बहारे शरीअ़त

(पहला हिस्सा)

मुसन्निफ़
सदरूश्शरीआ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा
मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर
क़ादरी दारूल इशाअ़त
मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली–53
Mob:–9312106346

नाम किताब	बहारे शरीअ़त (पहला हिस्सा)
मुसन्निफ़	सदरुश्शरीअ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमह
हिन्दी तर्जमा	**मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी**
कम्प्यूटर कम्पोज़िंग	मौलाना मुहम्मद शफ़ीकुल हक़ रज़वी
क़ीमत जिल्द अव्वल	500/
ताादाद	1000
इशाअ़त	2010 ई.

मिलने के पते :

1 मकतबा नईमिया ,मटिया महल, दिल्ली।
2 फ़ारूक़िया बुक डिपो ,मटिया महल ,दिल्ली।
3 नाज़ बुक डिपो ,मोहम्मद अ़ली रोड़ मुम्बई
4 अलकुरआन कम्पनी ,कमानी गेट,अजमेर।
5 चिश्तिया बुक डिपो दरगाह शरीफ़ अजमेर।
6 क़ादरी दारुल इशाअ़त, 523 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली। 9312106346
7 मकतबा रहमानिया रज़विया दरगाह आ़ला हज़रत बरेली शरीफ़

फेहरिस्त

अर्ज़े मुतर्जिम

जेरे नजर किताब बहारे शरीअत उर्दू जबान में बहुत मशहूर व मअ़रूफ किताब है हिन्दी ज़बान में अभी तक फिक्ही मसाइल पर इतनी ज़खीम किताब नज़रे आम पर नहीं आई काफी अर्से से ख़्वाहिश थी कि बहारे शरीअत मुकम्मल हिन्दी में तर्जमा की जाये ताकि हिन्दी दाँ हज़रत को फिक़्ही मसाइल पर पढ़ने के लिए तफ्सीली किताब दस्तयाब हो सके।

मैंने इस किताब का तर्जमा करने में ख़ालिस हिन्दी अलफाज़ का इस्तेमाल नहीं किया उस की वजह यह कि आज भी हिन्दुस्तान में आम बोलचाल की ज़बान उर्दू है अगर हिन्दी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता तो किताब और ज्यादा मुश्किल हो जाती इसी लिए किताब के मुश्किल अलफाज़ को आसान उर्दू में हिन्दी लिपि में लिखा गया है।

बहारे शरीअत उर्दू में बीस हिस्से तीन या चार जिल्दों में दस्तेयाब हैं अगर इस किताब का अच्छी तरह से मुताला कर लिया जाये तो मोमिन को अपनी जिन्दगी में पेश आने वाले तक़रीबान तमाम मसाइल की जानकारी हासिल हो सकती है। इस किताब में अक़ाइद मुआमलात तहारत, नमाज़, रोजा ,हज, जकात, निकाह, तलाक, खरीद ,फ़रोख्त ,अखलाक,ग़रज कि जरूरत के तमाम मसाइल का बयान है।

काफी अर्से से तमन्ना थी कि मुकम्मल बहारे शरीअत हिन्दी में पेश की जाये ताकि हिन्दी दाँ हज़रात इस से फायादा हासिल कर सकें बहारे शरीअ़त की बीस हिस्सों की कम्पोजिंग मुकम्मल हो चुकी है जिस को दो जिल्दो में पेश करने का इरादा है।

कुछ मजबूरियों की वजह से दस हिस्सों की एक जिल्द पेश की जारही है कुछ ही वक़्त के बाद बाक़ी दस हिस्सों की दूसरी जिल्द आप के सामने होगी यह हिन्दी में फ़िक़्ही मसाइल पर सब से ज़्यादा तफ़सीली किताब होगी कोशिश यह की गई है कि गलतियों से पाक किताब हो और मसाइल भी न बदल पाये अभी तक मार्केट में फिक्ह के बारे में पाई जाने वाली हिन्दी की अकसर किताबों में मसाइल भी बदल गये हैं और उन के अनुवादको को इस बात का एहसास तक न हो सका यह उन के दीनी तालीम से वाकिफ़ न होने की वजह है। मगर शौक़ उनका यह है कि दीनी किताबों को हिन्दी में लायें उनको मेरा मश्वरा यह है कि अपना यह शौक़ पूरा करने के लिए बाक़ाएदा मदर्से में दीनी तालीम हासिल करें और किसी आलिमे दीन की शागिर्दी इख़्तेयार करे ताकि हिन्दी में सही तौर पर किताबें छापने का शौक़ पूरा हो सके।

फिर भी मुझे अपनी कम इल्मी का एहसास है। कारेईन किताब में किसी भी तरह की ग़लती पायें तो खादिम को जरूर इत्तेलाअ् करें ताकि अगले एडीशन में सुधार कर लिया जाये किताब को आसान करने की काफी कोशिश की गई है फिर भी अगर कहीं मसअला समझ में न आये तो किसी सुन्नी सहीहुल अकीदा आलिमे दीन से समझलें ताकि दीन का सही इल्म हासिल हो सके किताब का मुतालआ करने के दौरान उलमा से राब्ता रखें वक़्तन फ़ वक़्तन किताब में पेश आने वाले मसाइल को समझते रहें।

अल्लाह तआ़ला की बारगाह में दुआ है कि वह अपने हबीबे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के सदके में इस किताब के ज़रीए कारेईन को भरपूर फायदा अता फरमाये और इस तर्जमे को मकबूल व मशहूर फरमाये और मुझ ख़ताकार व गुनाहगार के लिए बख़्शिश का ज़रीआ बनाये आमीन!

ख़ादिमुल उलमा

मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

30 सितम्बर सन.2010

بسم الله الرّحمٰنِ الرّحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَنْزَلَ الْقُرْاٰنَ، وَ هَدَانَا بِهٖ اِلٰی عَقَائِدِ الْاِیْمَانِ، وَ اَظْهَرَ الدِّیْنَ الْقَوِیْمَ عَلٰی سَائِرِ الْاَدْیَانِ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ الْاِتْمَانُ فِیْ کُلِّ حِیْنٍ وَ اٰنٍ، عَلٰی سَیِّدِ وَلَدِ عَدْنَانَ، سَیِّدِ الْاِنْسِ وَ الْجَانِّ، الَّذِیْ جَعَلَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی مُطَّلِعًا عَلَی الْغُیُوْبِ فَعَلِمَ مَا یَکُوْنُ وَمَا کَانَ، وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ ابْنِهٖ وَحِزْبِهٖ وَ مَنِ اتَّبَعَهُمْ بِاِحْسَانٍ وَ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ یَا رَحْمٰنُ یَا مَنَّانُ.

फ़क़ीर बारगाहे क़ादिरी अबुल उ़ला अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़र्ज़ करता है कि ज़माने की हालत ने इस त़रफ़ मुतवज्जेह किया कि अ़वाम भाईयों के लिए स़ही मसाइल का एक सिलसिला आ़म फ़हम जुबान में लिखा जाए जिसमें ज़रूरी रोज़मर्रा कें मसाइल हों। बावुजूद बेफ़ुर्सती के अल्लाह तआ़ला के भरोसे इस काम को शुरू किया है एक हिस़्सा लिखने पाया था कि यह ख़्याल हुआ कि आमाल की दुरुस्तगी के लिए अक़ाइद की सेहत ज़रूरी है और बहुत से मुसलमान हैं जो उसूले मज़हब से आगाह नहीं। ऐसों के लिए सच्चे अक़ाइद के ज़रूरी सरमाए की बहुत शदीद ह़ाजत है खुसूसन इस फ़ितने के दौर में कि ईमान के डाकू जगह जगह हैं जो अपने आपको मुसलमान कहते हैं बल्कि आ़लिम कहलाते हैं और ह़क़ीक़तन इसलाम से बहुत दूर, आ़म मुसलमान उनके फ़रेब में आकर दीन से हाथ धो बैठते हैं। लिहाज़ा यानी किताबुत्त़हारत (पाकी के बयान)को इस सिलसिले का हिस़्सा दोम किया और उन भाईयों के लिए इस पहले हिस़्से में इस्लामी सच्चे अ़क़ाइद बयान किए। उम्मीद कि बिरादराने इसलाम इस किताब से ईमान ताज़ा करें और इस फ़क़ीर के लिए बख़्शिश व दोनों जहान में बेहतरी और ईमान व मज़हबे अहले सुन्नत पर ख़ातिमे की दुआ फ़रमायें।

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلَی الْاِیْمَانِ وَ توفَّنَا عَلَی الْاِسْلَامِ وَارْزُقْنَا شَفَاعَةَ خَیْرِ الْاَنَامِ عَلَیْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَ اَدْخِلْنَا بِجَاهِهٖ عِنْدَكَ دَارَ السَّلَامِ اٰمِیْنَ یَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ.

☆☆☆☆☆☆☆

अल्लाह तआला की ज़ात और उसकी सिफ़्तों के बारे में अक़ीदे

अल्लाह एक है कोई उसका शरीक नहीं न ज़ात में न सिफ़ात में न अफ़आल (कामों) में न अहकाम (हुक्म देने) में न नामों में। वह "वाजिबुल वजूद" है यानी (जिसका हर हाल में मौजूद रहना ज़रूरी हो)उसका अदम मुहाल है यानी किसी ज़माने में उसकी ज़ात मौजूद न हो नामुमकिन है। अल्लाह"क़दीम"और "अज़ली" है यानी हमेशा से है और "अबदी" भी है यानी वह हमेशा रहेगा उसे कभी मौत न आयेगी। अल्लाह तआला ही इस लाइक़ है कि उसकी बन्दगी और इबादत की जाये।

अक़ीदा :– अल्लाह बेपरवाह है किसी का मुहताज नहीं और सारी दुनिया उसी की मुहताज है।

अक़ीदा :– अल्लाह की ज़ात का इदराक अक़्ल के ज़रिये मुहाल है यानी अक़्ल से उसकी ज़ात को समझना मुमकिन नहीं क्योंकि जो चीज़ अक़्ल के ज़रिये से समझ में आती है अक़्ल उस को अपने घेरे में लेलेती है और अल्लाह की शान यह है कि कोई चीज़ उसकी ज़ात को घेर नहीं सकती। अल्बत्ता अल्लाह के कामों के ज़रिये से मुख़तसर तौर पर उसकी सिफ़तों और फिर उन सिफ़तों के ज़रिए अल्लाह तआला की ज़ात पहचानी जाती है।

अक़ीदा :– अल्लाह तआला की सिफ़तें न ऐन हैं न ग़ैर यानी अल्लाह तआला की सिफ़तें उसकी ज़ात नहीं और न वह सिफ़तें किसी तरह उसकी ज़ात से अलग हो सकें क्योंकि वह सिफ़तें ऐसी हैं जो अल्लाह की ज़ात को चाहती हैं और उसकी ज़ात के लिए ज़रूरी हैं।

इसी सिलसिले में दूसरी बात यह भी ध्यान रखने की है कि अल्लाह की सिफ़तें कई हैं और अलग हैं और हर सिफ़त का मतलब भी अलग अलग है। मुतरादिफ़ैन नहीं, इसलिए सिफ़तें ऐने ज़ात नहीं हो सकतीं और सिफ़तें ग़ैरे ज़ात इसलिये नहीं हैं कि ग़ैर ज़ात मानने की सूरत में दो बातें हो सकती हैं। या तो सिफ़तें क़दीम होंगी या हादिस (जो किसी के पैदा करने से पैदा हुई यानी मख़लूक़)अगर क़दीम मानते हैं तो कई एक क़दीम का मानना पड़ेगा जबकि क़दीम सिर्फ़ एक ही है और अगर हादिस तसलीम करते हैं तो यह मानना भी ज़रूरी होगा वह क़दीम ज़ात सिफ़तों के हादिस होने या पैदा होने से पहले बिग़ैर सिफ़तों के थी और यह दोनों बातें बातिल हैं।

इसलिए इन मुश्किलों से बचने के लिये अहले सुन्नत ने वह मज़हब इख़्तियार किया है कि सिफ़ाते बारी (अल्लाह तआला की सिफ़तें)न तो ऐन ज़ात हैं और न ग़ैरे ज़ात बल्कि सिफ़तें उस ज़ाते मुक़द्दस को लाज़िम हैं किसी हाल में उससे जुदा नहीं और ज़ाते बारी तआला अपनी हर सिफ़त के साथ अज़ली,अबदी और क़दीम है।

अक़ीदा :– जिस तरह अल्लाह तआला की ज़ात क़दीम,अज़ली तथा अबदी है उसी तरह उसकी सिफ़तें भी क़दीम,अज़ली और अबदी हैं।

अक़ीदा :– अल्लाह की कोई सिफ़त मख़लूक़ नहीं न ज़ेरे क़ुदरत दाख़िल।

अक़ीदा :– अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात के अलावा सब चीज़ें हादिस यानी पहले न थीं अब मौजूद हैं।

अक़ीदा :– जो अल्लाह की सिफ़तों को मख़लूक़ कहे या हादिस बताये वह गुमराह और बद्दीन है।

अक़ीदा :- जो आलम में से किसी चीज़ को खुद से मौजूद माने या उसके हादिस होने में शक करे वह काफ़िर है।

अक़ीदा :- अल्लाह तआला न किसी का बाप है न ही किसी का बेटा है और न उसके लिए कोई बीवी। यदि कोई अल्लाह के लिए बाप,बेटा या जोरू (बीवी)बताये वह भी काफ़िर है बल्कि जो मुमकिन भी बताये गुमराह बद्दीन है।

अक़ीदा :- अल्लाह तआला हय्य है यानी ज़िन्दा है जिसे कभी मौत नहीं आयेगी। सबकी ज़िन्दगी उसी के हाथ (दस्ते कुदरत) में है वह जिसे जब चाहे ज़िन्दगी दे और जब चाहे मौत दे दे।

अक़ीदा :- वह हर मुमकिन पर क़ादिर है और कोई मुमकिन उसकी कुदरत से बाहर नहीं। जो चीज़ मुहाल हो,अल्लाह तआला उससे पाक है कि उसकी कुदरत उसे शामिल हो क्योंकि मुहाल उसे कहते हैं जो मौजूद न हो सके और जब उस पर कुदरत होगी तो मौजूद हो सकेगा और जब मौजूद हो सकेगा तो फिर मुहाल कैसे हो सकेगा। इसे इस तरह समझिए जैसे कि दूसरा खुदा मुहाल है यानी दूसरा खुदा हो ही नहीं सकता अगर दूसरा खुदा होना कुदरत के मातहत(अधीन) हो तो मौजूद हो सकेगा और जब मौजूद हो सकेगा तो मुहाल नहीं रहा। और दूसरे खुदा को मुहाल न मानना अल्लाह के एक होने का इन्कार है। यूँही अल्लाह तआला का फ़ना हो जाना मुहाल है अगर अल्लाह के फ़ना होने को कुदरत में दाख़िल माना जाए तो अल्लाह के अल्लाह होने से ही इन्कार करना है।

एक बात यह भी समझने की है कि हर वह चीज़ जो अल्लाह की कुदरत के मातहत हो वह मौजूद हो ही जाये यह कोई ज़रूरी नहीं। जैसे कि यह मुमकिन है कि सोने चाँदी की ज़मीन हो जाए लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा हो जाना हर हाल में मुमकिन रहेगा चाहे ऐसा कभी न हो।

अक़ीदा :- अल्लाह हर कमाल और खूबी का जामेअ् है यानी उसमें सारी खूबियाँ हैं और अल्लाह हर उस चीज़ से पाक है जिसमें कोई भी ऐब,बुराई या कमी हो यानी उसमें ऐब और नुक़सान का होना मुहाल है। बल्कि जिसमें न कोई कमाल हो और न कोई नुक़सान वह भी उसके लिए मुहाल है मिसाल के तौर पर झूट बोलना, दग़ा देना,ख़ियानत करना,ज़ुल्म करना और जिहालत और बेहयाई वग़ैरा ऐब अल्लाह के लिए मुहाल हैं। और यह कहना कि झूट पर कुदरत इस माना कर कि वह खुद झूट बोल सकता है मुहाल को मुमकिन ठहराना और खुदा को ऐबी बताना है बल्कि खुदा का इन्कार करना है और यह समझना कि यदि वह मुहाल पर क़ादिर न होगा तो उसकी कुदरत नाक़िस रह जायेगी बिल्कुल बातिल है यानी बेअस्ल और बेकार की बात है कि उसमें कुदरत का क्या नुक़सान हैं। कमी तो उस मुहाल में है कि कुदरत से तअल्लुक़ की उसमें सलाहियत नहीं।

अक़ीदा :- हयात,कुदरत,सुनना,देखना,कलाम,इल्म और इरादा उसकी ज़ाती सिफ़तें हैं मगर आँख, कान और जुबान से उसका सुनना,देखना और कलाम करना नहीं क्योंकि यह सब जिस्म हैं और वह जिस्म से पाक है अल्लाह हर धीमी से धीमी आवाज़ को सुनता है। वह ऐसी बारीक चीज़ों को भी देखता है जो किसी भी खुर्दबीन या दुरबीन से न देखी जा सकें बल्कि उसका देखना और सुनना इन्हीं चीज़ो पर मुन्हसिर (निर्भर)नहीं बल्कि वह हर मौजूद को देखता और सुनता है।

अक़ीदा :- अल्लाह की दूसरी सिफ़तों की तरह उसका कलाम भी क़दीम हैं। हादिस और मख़लूक़

नहीं जो कुर्आन शरीफ़ को मख़लूक़ माने उसे हमारे इमामे आज़म हज़रत इमामे अबू हनीफ़ा,दूसरे इमामों और सहाबा रदियल्लाहु तआला अन्हुम ने काफ़िर कहा है।

अक़ीदा :– अल्लाह का कलाम आवाज़ से पाक है और यह कुर्आन शरीफ़ जिसकी हम अपनी ज़ुबान से तिलावत करते हैं और किताबों तथा काग़ज़ों में लिखते लिखाते हैं उसी का बिना आवाज़ के क़दीम कलाम है। हमारा पढ़ना लिखना और यह हमारी आवाज़ हादिस् और जो हमने सुना क़दीम। हमारा याद करना हादिस और हमने जो याद किया क़दीम है। इसे यूँ समझो कि तजल्ली हादिस और मुतजल्ली(तजल्ली डालने वाला) क़दीम है।

अक़ीदा :– अल्लाह का इल्म,जुज़्यात,कुल्लियात,मौजूदात मादूमात मुमकिनात और मुहालात को मुहीत (घेरे हूए) है यानी सबको अज़ल में जानता था और अब भी जानता है और अबद तक जनेगा। चीज़ें बदल जाया करती हैं लेकिन अल्लाह का इल्म नहीं बदला करता। वह दिलों की बातों और वसवसों को जानता है। यहाँ तक कि उसके इल्म की कोई थाह नहीं।

अक़ीदा :– वह हर खुली और ढकी चीज़ों को जानता है और उसका इल्म ज़ाती है और ज़ाती इल्म उसी के लिए ख़ास् है जो कोई ढकी छिपी या ज़ाहिरी चीज़ों का ज़ाती इल्म अल्लाह के सिवा किसी दूसरे के लिये साबित करे वह काफ़िर है क्योंकि किसी दूसरे के लिए ज़ाती इल्म मानने का मतलब यह है कि बग़ैर ख़ुदा के दिये ख़ुद हासिल हो।

अक़ीदा :– अल्लाह ही हर तरह की ज़ातों और कामों को पैदा करने वाला है। हक़ीक़त में रोज़ी पहुँचाने वाला सिर्फ़ अल्लाह ही है और फ़रिश्ते रोज़ी पहुँचाने के ज़रिये हैं।

अक़ीदा :– अल्लाह तआला ने हर भलाई और बुराई को अपने अज़ली इल्म के मुवाफ़िक़ मुक़द्दर कर दिया है यानी जैसा होने वाला था और जो जैसा करने वाला था उसने अपने इल्म से जाना और वही लिख लिया। इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं कि जैसा उसने लिख दिया वैसा ही हमको करना पड़ता है बल्कि हम जैसा करने वाले थे वैसा उसने लिख दिया है। अगर अल्लाह ने ज़ैद के ज़िम्मे में बुराई लिखी तो इसलिये कि ज़ैद बुराई करने वाला था अगर ज़ैद भलाई करने वाला होता तो वह उसके लिये भलाई लिखता। अल्लाह तआला के लिख देने ने किसी को मजबूर नहीं कर दिया। यह तक़दीर की बातें हैं और तक़दीर की बातों का इन्कार नहीं किया जा सकता। तक़दीर के इन्कार करने वालों को हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत का मजूस बताया है।

अक़ीदा :– क़ज़ा या तक़दीर की तीन क़िस्में हैं ।

1. **मुबरमे हक़ीक़ी** किं इल्मे इलाही में किसी शय पर मुअल्लक़ नहीं।

2. **मुअल्लक़े महज़** जो फ़रिश्तों के लिखे में किसी चीज़ पर उसका मुअल्लक़ होना। ज़ाहिर फ़रमा दिया गया है यानी जो दुआ या सदक़ों से बदल जाए।

3. **मुअल्लक़े शबीह ब मुबरम** जिसके मुअल्लक़ होने का फ़रिश्तों के लेखों में ज़िक्र नहीं लेकिन अल्लाह के इल्म में मुअल्लक़ है। इस क़ज़ा की घटना होने न होने का दोहरा उल्लेख किसी शर्त के साथ है।

अब क़ज़ा या तक़दीर की तीन क़िस्में जिनके बारे में कुछ तफ़सील से लिखा जाता है:–

1. "मुबरमे हक़ीक़ी" यह वह क़ज़ा है जिसकी तबदीली मुमकिन नहीं अगर इस बारे में अल्लाह के

ख़ास बन्दे कुछ कहते हैं तो उन्हें वापस कर दिया जाता है जैसा कि जब क़ौमे लूत पर फ़रिश्ते अज़ाब लेकर आये तो हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने उन काफ़िरों को अज़ाब से बचाने के लिए कोशिश की और यहाँ तक कि जैसा कि अल्लाह ने क़ुर्आन शरीफ़ में इस बात को इस तरह बताया है कि يُجَادِلُنَا فِىْ قَوْمِ لُوْطٍ

तर्जमा :– "हमसे क़ौमे लूत के बारे में झगड़नें लगा"।

जो बेदीन यह कहते हैं कि अल्लाह के आगे कोई दम नहीं मार सकता और जो लोग अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के महबूबों की कोई इज़्ज़त नहीं मानते, वह क़ुर्आन के इस टुकड़े को देखें कि अल्लाह ने अपने महबूब की इज़्ज़त और शान को इन अल्फ़ाज़ में बढ़ाया है कि इब्राहीम हम से झगड़ने लगा।

दूसरी बात यह है कि हदीस शरीफ़ में आया है कि मेराज की रात हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने एक आवाज़ ऐसी सुनी कि कोई अल्लाह के साथ बहुत तेज़ी और ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा है। हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम ने हज़रते जिब्रील से पूछा कि यह कौन हैं ? उन्होंने कहा कि यह मूसा अ़लैहिस्सलाम हैं। हुज़ूर ने फ़रमाया कि अपने रब पर तेज़ होकर बात करते हैं। तो जवाब में हज़रते जिब्रील अ़लैहिस्सलाम ने कहा कि "उनका रब जानता है कि उनके मिज़ाज में तेज़ी है"।

तीसरी बात यह है कि जब यह आयत उतरी कि وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

तर्जमा :– बेशक क़रीब है कि तुम्हें तुम्हारा रब इतना अ़ता फ़रमायेगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। तो हुज़ूर सैय्यदुल महबूबीन सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने यह फ़रमाया कि।

اِذًا لَّا اَرْضٰى وَوَاحِدٌ مِّنْ اُمَّتِىْ فِى النَّارِ

तर्जमा :– अगर ऐसा है तो मैं नहीं राज़ी होंगा अगर मेरा एक उम्मती भी आग में हो। यह तो बड़ी ऊँची बातें है और उनकी शान तो ऐसी है कि जिस पर सारी बलन्दियाँ क़ुर्बान हैं। मुसलमान के कच्चे बच्चे जो हमल से गिर जाते हैं उनके लिए भी हदीसों में आया है कि वे अपने माँ बाप की बख़्शिश के लिए उपने रब से क़ियामत के दिन ऐसा झगड़ेंगे कि जैसा कोई क़र्ज़ा देने वाला अपने दिये हुए क़र्ज़े के लिये झगड़ा करता है और उस झगड़ने वाले कच्चे बच्चे से यह कहा जायेगा कि:– اَيُّهَا السِّقْطُ الْمُرَاغِمُ رَبَّهٗ

तर्जमा :– ऐ अपने रब से झगड़ने वाले कच्चे बच्चे! अपने माँ बाप का हाथ पकड़ ले और जन्नत में चला जा।

ख़ैर यह तो जुमला बीच में आ गया मगर ईमान वालों के लिए बहुत नफ़ा बख़्श और इन्सानों में रहने वाले शैतानों की ख़बासत को दूर करने वाला है। कहना यह है कि क़ौमे लूत पर अज़ाब क़ज़ाए मुबरमे हक़ीक़ी था। हज़रते ख़लीलुल्लाह अ़लानबीय्यिना व अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम उसमें झगड़े तो उन्हें इरशाद हुआ :– يٰۤاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا اِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ

तर्जमा :– "ऐ इब्राहीम इस ख़्याल में न पड़ो बेशक उन पर अज़ाब ऐसा आने वाला है जो फिरने का नहीं।" और वह क़ज़ा जो ज़ाहिर में क़ज़ाए मुअ़ल्लक़ है उस क़ज़ाए मुअ़ल्लक़ तक बहुत से औलिया किराम की पहुँच होती है और औलिया किराम की दुआ़ से उन की तवज्जह से यह क़ज़ा

टाल दी जाती है। और यह कज़ा जो दरमियानी हालत में है जिसे फ़रिश्तों के सुहुफ़(लेखों) किताबों के एअ्तिबार से 'मुबरम'भी कह सकते हैं। और यह वह कज़ा है जिस तक अल्लाह तआ़ला के बहुत ही ख़ास अल्लाह के नेक बन्दों की पहुँच होती है"।

हज़रत गौसे आज़म रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु इसी क़ज़ा के बारे में फ़रमाते हैं कि "में कज़ाए मुबरम को टाल देता हूँ और हदीस शरीफ में इसी बारे में आया है कि :– اِنَّ الدُّعَاءَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ مَا اُبْرِمَ

तर्जमा :– "बेशक दुआ़ कज़ाए मुबरम को टाल देती है"।

इस हदीसे पाक से यही दरमियानी कज़ा मुराद है ।

मसअ्ला :– तक़दीर की बातें आम लोग नहीं समझ सकते। इनमें ज़्यादा गौर व फ़िक्र करना बरबाद होने का सबब है। इसीलिए हज़रते अबूबक्र और हज़रते उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा इस मसअ्ले में बहस करने से रोक दिए गए हमारी और तुम्हारी क्या गिनती है। इतनी बात ध्यान में रहे कि अल्लाह ने आदमी को ईंट,पत्थर और दूसरे जमादात की तरह बेहिस और बेहरकत नहीं पैदा किया बल्कि उसको एक तरह का इख़्तियार दिया है कि एक काम को चाहे करे या न करे और उसके साथ ही उसको अक़्ल भी दी है कि भले बुरे तथा फ़ाइदे और नुक़सान को पहचान सके। और हर क़िस्म के सामान और असबाब अल्लाह तआ़ला ने इन्सान को दे दिए हैं कि जब कोई काम करना चाहता है उसी क़िस्म के सामान हो जाते हैं और इसी बिना पर इन्सान की पकड़ है। अपने आपको बिल्कुल पत्थर की त़रह मजबूर या बिल्कुल मुख़्तार समझना दोनों गुमराही हैं।

मसअ्ला :– दूसरी बात यह है कि बुरा काम करके यह कहना कि "तक़दीर में ऐसा ही था और अल्लाह तआ़ला की मर्ज़ी ऐसी ही थी"बहुत बुरी बात है। शरीअ़त का हुक्म यह है कि जो अच्छा काम करे उसे अल्लाह की त़रफ़ से जाने और जो बुरा करे उसे अपने नफ़्स की त़रफ़ से और इबलीसे लईन की त़रफ़ से समझे।

अ़क़ीदा :– अल्लाह तआ़ला जहत (दिशा) और जगहों और वक़्तों और हिलने और रूकने और शक्ल व सूरत और तमाम हादिस चीज़ों से पाक है इसलिए कि अल्लाह तआ़ला ज़मीन व आसमान का नूर है

अ़क़ीदा :– दुनिया की ज़िन्दगी में अल्लाह तआ़ला का दीदार नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के लिए ख़ास है और आख़िरत में हर सुन्नी मुसलमान अल्लाह तआ़ला का दीदार करेगा।

अब रही दिल में देखने ख़्वाब में अल्लाह तआ़ला के दीदार की बात तो यह दूसरे नबियों और वलियों के लिए भी हासिल है जैसा कि इमामे आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु तआ़ला अनहु को सौ बार ख़्वाब में अल्लाह तआ़ला की ज़ियारत हुई।

अ़क़ीदा :– अल्लाह तआ़ला का दीदार क़ियामत के दिन मुसलमानों को यक़ीनन होगा और यह नहीं कह सकते कि कैसे होगा क्यों कि जिस चीज़ को देखते हैं वह चीज़ देखने वाले से कुछ दूरी पर होती है और नज़दीकी या दूरी देखने वाले से किसी त़रफ़ होती है। जब किसी को देखा जाता है तो उसे देखने में आगे पीछे दाहिने बायें ऊपर नीचे दूर या करीब देखा जाता है और अल्लाह तआ़ला तमाम जहतों से पाक है। फिर रही यह बात कि आख़िर दीदार कैसे होगा ? तो खूब समझ लो कि यहाँ 'कैसे'और 'क्यूँकर' की कोई गुंजाइश नहीं। इन्शाअल्लाह जब देखेंगे उस वक़्त बता देंगे

इन सब बातों का खुलासा यह है कि क्यों, कैसे, क्यूँकर आदि का सम्बन्ध अक़्ल से है और अल्लाह तआला की ज़ात तक अक़्ल पहुँच ही नहीं सकती और जहाँ तक अक़्ल पहुँचती है वह खुदा नहीं। जब अक़्ल वहाँ तक नहीं पहुँच सकती तो अक़्ल या नज़र उसे घेरे में ले भी नहीं सकती।

अक़ीदा :– अल्लाह जो चाहे और जैसे चाहे करे उस पर किसी को क़ाबू नहीं और न कोई अल्लाह तआला को उसके इरादे से रोक सकता है। न वह ऊँघता है और न ही उसे नींद आती है। वह तमाम जहानों का निगेहबान है। वह न थकता है और न उकताता है। वही सारे आलम का पालनहार है। माँ बाप से ज़्यादा मेहरबान और हलीम है। अल्लाह ही की रहमत टूटे हुए दिलों का सहारा है। और उसी के लिए बड़ाई और अज़्मत हैं। माँओं के पेट में जैसी चाहे सूरत बनाने वाला वही है। आल्लाह ही गुनाहों का बख़्शने वाला,तौबा क़बूल करने वाला और क़हर और ग़ज़ब फ़रमाने वाला है। और उसकी पकड़ ऐसी कड़ी है कि बिना उसके छुड़ाये कोई छूट ही नहीं सकता। अल्लाह चाहे तो छोटी चीज़ों को बड़ी कर दे और फ़ैली चीज़ों को समेट दे। वह जिसको चाहे ऊँचा कर दे और जिसको चाहे नीचा वह चाहे तो ज़लील को इ़ज़्ज़त दे और इ़ज़्ज़त वाले को ज़लील कर दे जिसको चाहे सीधे रास्ते पर लाये और जिसे चाहे सीधे रास्ते से अलग कर दे। जिसे चाहे अपने से क़रीब बना ले और जिसे चाहे मरदूद कर दे। जिसे जो चाहे दे और जिससे जो चाहे छीन ले। वह जो कुछ करता है या करेगा वह इन्साफ़ है और वह ज़ुल्म से पाक व साफ़ है आल्लाह हर बलन्द से बलन्द है। यहाँ तक कि उसकी बलन्दी की कोई थाह नहीं। वह सबको घेरे हुए है उसको कोई घेर नहीं सकता। फ़ायदा और नुक़सान उसी के हाथ में है। मज़लूम की फ़रयाद को पहुँचता है। और ज़ालिम से बदला लेता है। उसकी मशीयत और इरादे के बग़ैर कुछ नहीं हो सकता वह भले कामों से खुश और बुरे कामों से नाराज़ होता है। आल्लाह की रहमत है कि वह ऐसे कामों का हुक्म नहीं करता जो हमारी ताक़त से बाहर हों। अल्लाह तआला पर सवाब या अज़ाब या बन्दे के साथ मेहरबानी या बन्दे जो अपने लिए अच्छा जानें वह अल्लाह के लिए वाजिब नहीं। वह मालिक है जो चाहे करे और जो चाहे हुक्म दे।

हाँ अल्लाह ने अपने करम से वअ़दा फ़रमा लिया है कि मुसलमानों को जन्नत में और काफ़िरों को जहन्नम में दाख़िल करेगा। और उसके वअ़दे और वईद कभी बदला नहीं करते उसका यह भी वअ़दा है कि कुफ़्र के सिवा हर छोटे बड़े गुनाहों को जिसे चाहे मुआफ़ कर देगा।

अक़ीदा :– अल्लाह तआला के हर काम में हमारे लिए बहुत सी हिकमतें है चाहे हम को मालूम हों या न हों और उसके काम के लिए कोई ग़र्ज़ नहीं क्यों कि ग़र्ज़ और ग़ायत उस फ़ायदे को कहते हैं जिसका तअल्लुक़ काम के करने वाले से हो और अल्लाह के काम किसी इल्लत और सबब के मुहताज नहीं अलबत्ता अल्लाह तआला ने कामों के लिए कुछ असबाब पैदा कर दिये हैं। आँख के सबब से देखा जाता है,कान के ज़रिये से सुना जाता है। आग जलाने का काम करती है और पानी के सबब से प्यास बुझती है। लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो आँख सुनने लगे कान देखने लगे पानी जलाने लगे और आग प्यास बुझाये। और न चाहे तो लाख आँखें हों दिन को भी पहाड़ नज़र नहीं आयेगा। और आग के अंगारे में तिनका भी बेदाग़ रहेगा।

वह आग कितने ग़ज़ब की थी कि जिसमें काफ़िरों ने हज़रते इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को डाला

आग ऐसी थी कि कोई उसके पास जा नहीं सकता था इसलिए उन्हें गोफ़न में रख कर फेंका गया। जब आग के सामने पहुँचे तो हज़रते जिब्रील अ़लैहिस्सलाम आये और पूछा कि अगर कोई ह़ाजत हो तो आप बतायें। उन्होंने फ़रमाया कि है तो लेकिन तुमसे नहीं। और इस त़रह इरशाद फ़रमाया कि

عِلْمُهٗ بِحَالِی كَفَانِی عَنْ سُؤَالِی

तर्जमा :– " उसको मेरे हाल का इल्म होना बस काफ़ी है मुझे अपनी ह़ाजत बयान करने से"।

उधर अल्लाह तआ़ला ने आग को यह हुक्म दिया कि

يَا نَارُ كُوْنِی بَرْدًاوَّ سَلٰماً عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ

तर्जमा:– "ऐ आग हो जा ठन्डी और सलामती इब्राहीम पर"।

इस बात को सुनकर दुनिया में जहाँ कहीं पर भी आगें थीं यह समझते हुए सब टंडी हो गईं कि शायद मुझी से कहा जा रहा है। और नमरूद की आग तो ऐसी टंडी हुई कि उ़लमा फ़रमाते हैं अगर उसके साथ वसलामन का लफ़्ज़ न होता तो आग इतनी टन्डी हो जाती कि उसकी टन्डक से हज़रते इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को तकलीफ़ पहुँच जाती। बताना यह था कि आग का काम जलाने का ज़रूर है लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो आग टन्डी हो सकती है।

नुबुव्वत के बारे में अ़क़ीदे

मुसलमानों के लिए जिस त़रह अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात का जानना ज़रूरी है कि किसी दीनी ज़रूरी बात के इन्कार करने या मुहा़ल के साबित करने से यह काफ़िर न हो जाये इसी त़रह यह जानना भी ज़रूरी है कि नबी के लिए क्या जाइज़ है और क्या वाजिब और क्या मुहा़ल है क्यूँकि वाजिब का इन्कार करना और मुहा़ल का इक़रार करना कुफ़्र की वजह है और बहुत मुमकिन है कि आदमी नादानी से अ़क़ीदा ख़िलाफ़ रखे या कुफ़्र की बात ज़ुबान से निकाले और हलाक हो जाए।

अ़क़ीदा :– नबी उस बशर को कहते हैं जिसे अल्लाह तआ़ला ने हिदायत के लिए 'वह़ी'भेजी हो और रसूल बशर ही के साथ ख़ास नहीं बल्कि फ़रिश्ते भी रसूल होते हैं।

अ़क़ीदा :– अम्बिया सब बशर थे और मर्द थे। न कोई औरत कभी नबी हुई न कोई जिन्न।

अ़क़ीदा :– नबियों का भेजना अल्लाह तआ़ला पर वाजिब नहीं। उसने अपने करम से लोगों की हिदायत के लिए नबी भेजे।

अ़क़ीदा :– नबी होने के लिए उस पर वह़ी होना ज़रूरी है यह वह़ी चाहे फ़रिश्ते के ज़रिए हो या बिना किसी वास्ते और ज़रिएं के हो।

अ़क़ीदा :– बहुत से नबियों पर अल्लाह तआ़ला ने सह़ीफ़े और आसमानी किताबें उतारीं। उन किताबों में से चार किताबें मशहूर हैं।

1. **'तौरैत'**——हज़रते मूसा अ़लैहिस्सलाम पर।
2. **'ज़बूर'**——हज़रते दाऊद अ़लैहिस्सलाम पर।
3. **'इन्जील'**——हज़रते ईसा अ़लैहिस्सलाम पर
4. **'कुर्आन शरीफ़'** कि सबसे अफ़ज़ल किताब है। और यह किताब सबसे अफ़ज़ल रसूल,नबियों के सरदार हज़रत मुहम्मद स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। तौरात,ज़बूर, इन्जील

और कुरआन शरीफ़ यह सब अल्लाह तआ़ला के कलाम हैं और अल्लाह के कलाम में किसी का किसी से अफ़ज़ल होने का हरगिज़ यह मतलब नहीं कि अल्लाह का कोई कलाम घटिया हो क्योंकि अल्लाह एक है उसका कलाम एक है। उसके कलाम में घटिया बढ़िया की कोई गुन्ज़ाइश नहीं। अलबत्ता हमारे लिए कुर्आन शरीफ़ में सवाब ज़्यादा है।

अक़ीदा :– सब आसमानी किताबें और सहीफ़े हक़ हैं और सब अल्लाह ही के कलाम हैं उनमें अल्लाह तआ़ला ने जो कुछ इरशाद फ़रमाया उन सब पर ईमान ज़रूरी है। मगर यह बात अलबत्ता हुई कि अगली किताबों की हिफ़ाज़त अल्लाह तआ़ला ने उम्मत के सुपुर्द की थी और अगली उम्मत उन सहीफ़ों और किताबों की हिफाज़त न कर सकी इसलिए अल्लाह का कलाम जैसा उतरा था वैसा उनके हाथों में बाक़ी न रह सका बल्कि उनके शरीरों (बुरे लोगों) ने अल्लाह के कलाम में अदल बदल कर दिया जिसे तहरीफ़ कहते हैं। उन्होंने अपनी ख़्वाहिश के मुताबिक़ घटा बढ़ा दिया। इसलिए जब उन किताबों की कोई बात हमारे सामने आये तो अगर वह बात हमारी किताब के मुताबिक़ है तो हम को तस्दीक़ करना चाहिए और अगर मुख़ालिफ़ है तो यक़ीन कर लेंगे कि उन अगली शरीर उम्मतियों की तहरीफ़ात से है। और मुख़ालिफ़ या मुवाफ़िक़ कुछ पता न चले तो हुक्म है कि हम न तो तसदीक़ करें और न झुटलायें यूँ कहें कि–

امَنْتُ بِاللّٰهِ وَ مَلٰئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ

तर्जमा :– अल्लाह और उसके फ़रिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसुलों पर हमारा ईमान है।"

अक़ीदा :– चुँकि यह दीन हमेशा रहने वाला है इसलिए कुरआन शरीफ़ की हिफ़ाज़त अल्लाह तआ़ला ने अपने ज़िम्मे रखी जैसा कि कुर्आन शरीफ़ में है कि

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ

तर्जमा :– बेशक हमने कुर्आन उतारा और बेशक हम ख़ुद उसके ज़रूर निगेहबान हैं।

इसीलिए अगर तमाम दुनिया कुर्आन शरीफ़ के किसी एक ह़र्फ़ लफ़्ज़ या नुक़्ते को बदलने की कोशिश करे तो बदलना मुमकिन नहीं। तो जो यह कहे कि कुर्आन के कुछ पारे या सूरतें या आयतें या एक ह़र्फ़ भी किसी ने कम कर दिया या बढ़ा दिया या बदल दिया वह काफ़िर है क्यों कि उसने ऐसा कहकर ऊपर लिखी आयत का इन्कार किया।

अक़ीदा :– कुर्आन मजीद अल्लाह की किताब होने पर अपने आप दलील है कि अल्लाह तआ़ला ने ख़ुद एअ़लान के साथ फ़रमाया है कि:–

وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ.

तर्जमा :–"अगर तुमको इस किताब में जो हमने अपने सबसे ख़ास बन्दे (हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) पर उतारी कोई शक हो तो उसकी मिस्ल (तरह) कोई छोटी सी सूरत कह लाओ और अल्लाह के सिवा अपने सब हिमायतियों को बुलाओ अगर तुम सच्चे हो तो अगर ऐसा न कर सको और हम कहे देते हैं हरगिज़ ऐसा न कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं जो काफ़िरों के लिए तैयार की गई है"।

लिहाज़ा काफ़िरों ने उस के मुक़ाबिले में जान तोड़ कोशिश की मगर उसके मिस्ल एक सूरत

न बना सके।

मसअ्ला :– अगली किताबें नबियों को ही ज़ुबानी याद होतीं लेकिन कुर्आन मजीद का मोजिज़ा है कि मुसलमानों का बच्चा बच्चा उसको याद कर लेता है।

अक़ीदा :– कुर्आन मजीद की सात क़िरातें हैं। मतलब यह है कि कुर्आन मजीद सात तरीक़ों से पढ़ा जा सकता है और यह सातों तरीके बहुत ही मशहूर हैं उनमें से किसी जगह मआनी में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं। वह सब तरीक़े हक़ हैं। उसमें उम्मत के लिए आसानी यह है कि जिसके लिए जो क़िरात आसान हो वह पढ़े। और शरीअत का हुक्म यह है कि जिस मुल्क में जिस क़िरात का रिवाज हो अ़वाम के सामने वही पढ़ी जाए।

कुर्आन शरीफ़ पढ़ने के सात क़ारियों के तरीक़े मशहूर हैं। यह सातों क़िरात के इमाम माने जाते हैं (1)इब्ने आमिर (2) इब्ने कसीर (3) आसिम (4) नाफ़े (5) अबू उमर (6) हमज़ा (7) किसाई रहमतुल्लाहि अजमईन। हमारे मुल्के हिन्दुस्तान में आसिम की रिवायत का ज़्यादा रिवाज है। इसीलिए रिवाज को ध्यान में रखते हुए हिन्दुस्तान में आसिम की रिवायत से ही कुर्आन शरीफ़ पढ़ा जाता है,क्योंकि अगर दूसरी रिवायत पढ़ी जाए तो लोग ना समझी में कुर्आन की आयत का इन्कार कर देंगे और यह कुफ़्र है।

अक़ीदा :– कुर्आन मजीद ने अगली किताबों के बहुत से अहकाम मन्सूख़ कर दिए हैं इसी तरह कुर्आन शरीफ़ की बाज़ आयातें बाज़ आयतों से मन्सूख़ हो गई हैं।

अक़ीदा :– नस्ख़(मनसूख़ करने)का मतलब यह है कि कुछ अहकाम किसी ख़ास वक़्त तक के लिए होते हैं मगर यह ज़ाहिर नहीं किया जाता कि यह हुक्म किस वक़्त तक के लिए है जब मिआद पूरी हो जाती है तो दूसरा हुक्म नाज़िल होता है जिस में ज़ाहिरी तौर पर यह पता चलता है कि वह पहला हुक्म उठा दिया गया और हक़ीक़त में देखा जाए तो उसके वक़्त का ख़त्म होना बताया गया और मन्सूख़ का मतलब कुछ लोग बातिल होना कहते हैं लेकिन यह बहुत बुरी बात है। क्योंकि अल्लाह के सारे हुक्म हक़ हैं उनके बातिल होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।

अक़ीदा :– कुर्आन शरीफ़ की कुछ बातें मुहकम और कुछ बातें मुताशाबिह हैं। मुहकम वह बातें हैं जो हमारी समझ में आती हैं और मुताशाबेह वह बातें हैं कि उनका पूरा मतलब अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं जानता और न जान सकता है। अगर कोई मुताशाबेह के मतलब की तलाश करे तो समझना चाहिए कि उसके दिल में कजी (टेढ़) है।

अक़ीदा :– वही अल्लाह के पैग़ाम जो नबियों के लिए ख़ास होते है उन्हें वहये नुबुव्वत कहते हैं। और वहये नुबुव्वत नबी के अलावा किसी और के लिए मानना कुफ़्र है। नबी को ख़्वाब में जो चीज़ बताई जाए वह भी वही है। उसके झूटे होने का कोई गुमान नहीं। वली के दिल में कभी कभी सोते या जागते में कोई बात बताई जाती है उसको इल्हाम कहते हैं। और वहये शैतानी वह है कि जो शैतान की तरफ़ से दिल में कोई बात आये। यह वही काहिन (ज्योतिष)जादूगरों और दूसरे काफ़िरों और फ़ासिको के लिए होती हैं।

अक़ीदा :– नुबुव्वत ऐसी चीज़ नहीं कि आदमी इबादत या मेहनत के ज़रिए से हासिल कर सके।

बल्कि यह महज़ अल्लाह तआला की देन है कि जिसे चाहता है अपने करम से देता है और देता उसी को है कि जिसको उसके लायक़ बनाता है। जो नुबुव्वत हासिल करने से पहले तमाम बुरी आदतों से पाक और तमाम ऊँचे अख़लाक़ से अपने आप को संवार कर विलायत के तमाम दर्जे तय कर चुकता है। और अपने हसब, नसब,जिस्म,क़ौल और अपने सारे कामों में हर ऐसी बात से पाक होता है जिनसे नफ़रत हो। और उसे ऐसी कामिल अक़्ल अता की जाती है जो औरों की अक़्ल से कहीं ज़्यादा होती है यहाँ तक कि किसी हाकिम और फ़ल्सफ़ी की अक़्ल उसके लाखवें हिस्से तक नहीं पहुँच सकती।

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسٰلَتَهٗ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

तर्जमा :– "अल्लाह खूब जानता है जहाँ अपनी रिसालत रखे। यह अल्लाह का फ़ज़्ल है जिसे चाहे दे और अल्लाह बड़े फ़ज़्ल वाला है"।

अक़ीदा :– शरीअत का क़ानून यह है कि अगर कोई यह समझे कि आदमी कोशिश और मेहनत से नुबुव्वत तक पहुँच सकता है या यह समझे कि नबी से नुबुव्वत का ज़वाल यानी ख़त्म होना जाइज़ है वह काफ़िर है।

अक़ीदा :– नबी का मासूम होना ज़रूरी है। इसी तरह मासूम होने की खुसूसियत फ़रिश्तों के लिए भी है। और नबियों और फ़रिश्तों के सिवा कोई मासूम नहीं। कुछ लोग इमामों को नबियों की तरह मासूम समझते हैं यह गुमराही और बद्दीनी है। नबियों के मासूम होने का मतलब यह है कि उनकी हिफ़ाज़त के लिए अल्लाह तआला का वादा है इसीलिए शरीअत का फ़ैसला है कि उनसे गुनाह का होना मुहाल और नामुमकिन है।अल्लाह तआला इमामों और बड़े बड़े वलियों को भी गुनाहों से बचाता है मगर शरीअत की रौशनी में उनसे गुनाह का हो जाना मुहाल भी नहीं।

अक़ीदा :– अम्बिया. अलैहिमुस्सलाम शिर्क से,कुफ़्र से और हर ऐसी चीज़ से पाक और मासूम हैं जिस से मख़लूक़ को नफ़रत हो जैसे झूट ,ख़ियानत और जिहालत वग़ैरा बुरी सिफ़तें। और ऐसे कामों से भी पाक हैं जो उनके नुबुव्वत से पहले और नुबुव्वत के बाद वजाहत और मुरव्वत के ख़िलाफ़ है। इस पर सबका इत्तिफ़ाक़ है। और कबीरा गुनाहों से भी सारे नबी बिल्कुल पाक और मासूम हैं। और हक़ तो यह है कि नुबुव्वत से पहले और नुबुव्वत के बाद नबी सग़ीरा गुनाहों के इरादे से भी पाक और मासूम हैं।

अक़ीदा :– अल्लाह तआला ने नबियों पर बन्दों के लिए जितने अहकाम नाज़िल किए वह सब उन्होंने पहुँचा दिए। अगर कोई यह कहे कि किसी नबी ने किसी हुक्म को छुपा रखा तक़िय्या यानी डर की वजह से नहीं पहुँचाया वह काफ़िर है क्योंकि तबलीग़ी अहकाम में नबियों से भूल चूक मुमकिन नहीं। ऐसी बीमारियाँ जिनसे नफ़रत होती है जैसे कोढ़,,बर्स और जुज़ाम वग़ैरा से नबी के जिस्म का पाक होना ज़रूरी है।

अक़ीदा :– इल्मे ग़ैब के बारे में अहले सुन्नत का मज़हब और मसलक यह है कि अल्लाह तआला ने नबियों को अपने ग़ैबों पर इत्तिला दी। यहाँ तक कि ज़मीन और आसमान का हर ज़र्रा हर नबी के सामने है। इल्मे ग़ैब दो तरह का है एक इल्मे ज़ाती और दूसरा इल्मे ग़ैब अताई। इल्मे ग़ैब ज़ाती सिर्फ़ अल्लाह तआला ही को है और इल्में ग़ैब अताई नबियों और वलियों को अल्लाह तआला के

देने से हासिल होता है अताई इल्म अल्लाह तआला के लिए नामुमकिन और मुहाल है। क्यूँकि अल्लाह तआला की कोई सिफ़त या कमाल चाहे उसका सुनना,देखना,कलाम,ज़िन्दगी और मौत देना वग़ैरा सिफ़तें किसी की दी हुई नहीं हैं बल्कि ज़ाती हैं। और नबियों की सिफ़तें या उनका इल्म ज़ाती नहीं। जो लोग यह कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को किसी तरह का इल्मे ग़ैब नहीं वह कुर्आन शरीफ़ की इस आयत के मुताबिक़ है।

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَ تَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ

तर्जमा :– कुर्आन शरीफ़ की कुछ बातें मानतें हैं और कुछ का इन्कार करते है। वह आयतें देखते है जिनसे इल्मे ग़ैब की नफ़ी मालूम होती है क्योंकि वह लोग उन आयतों को देखते और मानते है जिनसे नबियों से इल्मे ग़ैब की नफ़ी का पता चलता है। और उन आयतों का इन्कार करते है जिनमें नबियों को इल्मे ग़ैब दिया जाना (अ़ता किया जाना)बयान किया गया है जब कि नफ़ी (इल्मे ग़ैब से इन्कार) और इसबात (इल्मे ग़ैब का सुबूत)दोनों हक़ हैं। वह इस तरह कि नफ़ी इल्मे ज़ाती की है क्यूँकि यह उलूहियत यानी अल्लाह तआला के लिए ख़ास है और इसबात इल्मे ग़ैब अ़ताई का है कि यह नबियों की ही शान और उन्हीं के लाइक़ है और उलूहियत के ख़िलाफ़ है।

अगर कोई यह कहे कि नबी के लिए हर ज़र्रे का इल्म मानने से ख़ालिक़ और मख़लूक़ में बराबरी लाज़िम आएगी उसका यह कहना बिल्कुल बातिल है। ऐसी बात काफ़िर ही कह सकता है क्योंकि बराबरी तो उस वक़्त हो सकती है जबकि जितना इल्म मख़लूक़ को मिला है उतना ही इल्म ख़ालिक़ के लिए भी माना और साबित किया जाये।

फिर यह कि ज़ाती और अ़ताई का फ़र्क़ बताने पर भी बराबरी और मसावात का इल्ज़ाम देना खुले तौर पर ईमान और इस्लाम के ख़िलाफ़ है क्योंकि अगर इस फ़र्क़ के होते हुए भी बराबरी हो जाया करे तो लाज़िम आयेगा कि मुमकिन और वाजिब वुजूद में बराबर हो जाएं। क्योंकि मुमकिन भी मौजूद है और वाजिब भी मौजूद है। इस पर भी मुमकिन और वाजिब को वुजूद में बराबर कहना खुला हुआ शिर्क है।

अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम ग़ैब की ख़बरें देने के लिए आते ही हैं क्यूँकि दोज़ख़, जन्नत, क़ियामत, हश्र, नश्र, और अ़ज़ाब, सवाब, ग़ैब नहीं तो और क्या हैं। नबियों का मनसब ही यह है कि वह बातें बतायें कि जिन तक अ़क़्ल और हवास की भी पहुँच न हो सके और इसी का नाम ग़ैब है। वलियों को भी इल्म ग़ैब अ़ताई होता है मगर वलियों को नबियों के ज़रिए से इल्मे ग़ैब अ़ता किया जाता है।

अ़क़ीदा :– अम्बियाए किराम तमाम मख़लूक़ात यहाँ तक कि रसूलों और फ़रिश्तों से भी अफ़ज़ल हैं और वली कितना ही बड़े मरतबे और दर्जे वाला हो किसी नबी के बराबर नहीं हो सकता। शरीअ़त का क़ानून है कि जो कोई ग़ैर नबी को नबी से ऊँचा या नबी के बराबर बताये वह काफ़िर है।

अ़क़ीदा :– नबी की ताज़ीम फ़र्ज़े ऐन यानी हर एक पर फ़र्ज़ बल्कि तमाम फ़र्ज़ों की अस्ल है। यहाँ तक कि अगर कोई नबी की अदना सी भी तौहीन करे काफ़िर है।

अ़क़ीदा :– हज़रते आदम अ़लैहिस्सलाम से हमारे हुज़ूर सय्यदे आ़लम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम तक अल्लाह तआला ने बहुत से नबी भेजे कुछ नबियों का ज़िक्र कुर्आन

शरीफ़ में खुले तौर पर आया है और कुछ का नहीं। जिन नबियों के मुबारक नाम खुले तौर पर कुर्आन शरीफ़ में आये हैं वह हैं :-

1.हज़रते आदम अ़लैहिस्सलाम 2.हज़रते नूह अ़लैहिस्सलाम 3.हज़रते इब्राहीम अ़लैहिस्सलामा 4.हज़रते इस्माईल अ़लैहिस्सलाम 5.हज़रते इसहाक़ अ़लैहिस्सलाम 6.हज़रते याकूब अ़लैहिस्सलाम 7.हज़रते युसूफ़ अ़लैहिस्सलाम 8.हज़रते मूसा अ़लैहिस्सलाम 9.हज़रत हारून अ़लैहिस्सलाम 10.हज़रते शूऐब अ़लैहिस्सलाम 11.हज़रते लूत़ अ़लैहिस्सलाम 12.हज़रते हूद अ़लैहिस्सलाम 13.हज़रते दाऊद अ़लैहिस्सलाम 14.हज़रते सुलैमान अ़लैहिस्सलाम 15.हज़रते अय्यूब अ़लैहिस्सलाम 16.हज़रते ज़करिया अ़लैहिस्सलाम 17.हज़रते याहया अ़लैहिस्सलाम 18.हज़रते ईसा अ़लैहिस्सलाम 19.हज़रते इल्यास अ़लैहिस्सलाम 20.हज़रते अलयसअ़ अ़लैहिस्सलाम 21.हज़रते यूनुस अ़लैहिस्सलाम 22.हज़रते इदरीस अ़लैहिस्सलाम 23.हज़रते जुलकिफ़्ल अ़लैहिस्सलाम 24.हज़रते सालेह अ़लैहिस्सलाम 25.और हम सब के आक़ा और मौला हुज़ूर सय्यदुल मुरसलीन हज़रत मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम।

अक़ीदा :- हज़रते आदम अ़लैहिस्सलाम को अल्लाह तआ़ला ने बिना माँ बाप के मिट्टी से पैदा किया और अपना ख़लीफ़ा (नाइब)बनाया और तमाम चीज़ों का इल्म दिया। फ़रिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया कि हज़रते आदम अ़लैहिस्सलाम को सज्दा करें। सभी ने सजदे किए लेकिन शैतान जो जिन्नात की क़िस्म में से था मगर बहुत बड़ा आ़बिद और ज़ाहिद होने की वजह से उसकी गिनती फ़रिश्तो में होती थी उसने हज़रते आदम को सजदा करने से इन्कार कर दिया इसी लिए वह हमेशा के लिए मरदूद हो गया।

अक़ीदा :- हज़रते आदम अ़लैहिस्सलाम से पहले कोई इन्सान नहीं था बल्कि सब इन्सान हज़रते आदम की ही औलाद हैं। इसीलिए इन्सान को आदमी कहते हैं यानी आदम की औलाद और चूँकि हज़रते आदम अ़लैहिस्सलाम सारे इन्सानों के बाप हैं इसीलिए उन्हें"अबुल बशर"कहा जाता है यानी सब इन्सानों के बाप।

अक़ीदा :- सब में पहले नबी हज़रते आदम अ़लैहिस्सलाम हुए और सब में पहले रसूल जो काफ़िरों पर भेजे गए हज़रते नूह अ़लैहिस्सलाम हैं। उन्होंने साढ़े नौ सौ बरस तबलीग़ की। उनके ज़माने के काफ़िर बहुत सख़्त थे। वह हज़रते नूह अ़लैहिस्सलाम को दुख पहुँचाते और उनका मज़ाक उड़ाते यहाँ तक कि इतनी लम्बी मुद्दत में गिनती के लोग मुसलमान हुए। बाक़ी लोगों को जब उन्होंने देखा कि वह हरगिज़ राहे रास्त पर नहीं आयेंगे और अपनी हठधर्मी और कुफ़्र से बाज़ नहीं आयेंगे तो मजबूर होकर उन्होंने अपने रब से काफ़िरों की हलाकी और तबाही के लिए दुआ की। नतीजा यह हुआ कि तूफ़ान आया और सारी ज़मीन डूब गई और सिर्फ़ वह गिनती के मुसलमान और हर जानवर का एक एक जोड़ा जो कश्ती में ले लिया गया था बच गया।

अक़ीदा :- नबियों की तादाद मुक़र्रर करना जाइज़ नहीं क्यों कि तादाद मुक़र्रर करने और उसी तादाद पर ईमान रखने से यह ख़राबी लाज़िम आयेगी कि अगर जितने नबी आये उन से हमारी गिनती कम हुई तो जो नबी थे उनको हमने नुबुव्वत से ख़ारिज कर दिया और अगर जितने नबी आए उन से हमारी गिनती ज़्यादा हुई तो जो नबी नहीं थे उन को हमने नबी मान लिया यह दोनों

बातें इस लिए ठीक नहीं कि पहली सूरत में नबी नुबुव्वत से ख़ारिज हो जाऐंगे और दूसरी सूरत में जो नबी नहीं वह नबी माने जाऐंगे और अहले सुन्नत का मज़हब यह है कि नबी का नबी न मानना या ऐसे को नबी मान लेना जो नबी न हो कुफ़्र है। इसलिए एअ्तिक़ाद यह रखना चाहिए कि हर नबी पर हमारा ईमान है।

अक़ीदा :– नबियों के अलग अलग दर्जे हैं कुछ नबी कुछ से फ़ज़ीलत रखते हैं और सब में अफ़ज़ल हमारे आक़ा व मौला सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम हैं। हमारे सरकार के बाद सब से बड़ा मरतबा हज़रते इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अ़लैहिस्सलाम का है। फ़िर हज़रते मूसा अ़लैहिस्सलाम फ़िर हज़रते ईसा अ़लैहिस्सलाम और हज़रते नूह अ़लैहिस्सलाम का दर्जा है।

इन पाँचों नबियों को मुरसलीने उ़लुल अ़ज़्म कहते हैं और पाँचों बाक़ी तमाम नबियों रसूलों इन्सान,फ़रिश्ते,जिन्न और अल्लाह की तमाम मख़्लूक़ से अफ़ज़ल हैं।

जिस तरह हुज़ूर तमाम रसूलों के सरदार और सबसे अफ़ज़ल हैं तो उनकी उम्मत भी उन्हीं के सदक़े और तुफ़ैल में तमाम उम्मतों से अफ़ज़ल है।

अक़ीदा :– तमाम नबी अल्लाह तआ़ला की बारगाह में इ़ज़्ज़त वाले हैं। उनके बारे में यह कहना कि वह अल्लाह तआ़ला के नज़दीक चूड़े चमार की तरह हैं,कुफ़्र और बेअदबी है।

अक़ीदा :– नबी के नुबुव्वत के बारे में सच्चे होने की एक दलील यह है कि नबी अपनी सच्चाई का एलानिया दावा कर के वह चीज़ें जो आ़दत के एअ्तिबार से मुहा़ल हैं उन्हें ज़ाहिर करने का ज़िम्मा लेता है और जो लोग नबी की नुबुव्वत और सदाक़त का इन्कार करते हैं यह उन काफ़िरों को चैलेन्ज करते हैं कि अगर तुम में सच्चाई हो तो तुम भी ऐसा कर दिखाओ लेकिन सारे के सारे काफ़िर आ़जिज़ रह जाते हैं और नबी अपने दावे में कामयाब होकर आ़दत के एअ्तिबार से जो चीज़ मुहा़ल होती हैं उनको अल्लाह के हुक्म से ज़ाहिर करता है और इसी को मोजिज़ा कहते हैं जैसे हज़रते सालेह अ़लैहिस्सलाम की ऊँटनी,हज़रते मूसा अ़लैहिस्सलाम के असा (छड़ी) का साँप हो जाना,उनकी हथेली में चमक का पैदा होना और हज़रते ईसा अ़लैहिस्सलाम का मुर्दों को जिलाना और पैदाइशी अन्धों और कोढ़ियों को अच्छा कर देना। और हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के तो बहुत से मोजिज़े हैं।

अक़ीदा :– जो शख़्स नबी न हो और अपने आप को नबी कहे वह नबियों की तरह आ़दत के ख़िलाफ़ अपने दावे के मुताबिक़ कोई काम नहीं कर सकता वर्ना सच्चे और झूटे में फ़र्क़ नहीं रह जायेगा।

फ़ायदा :– किसी नबी से अगर इज़हारे नुबुव्वत के बाद आ़दत के ख़िलाफ़ कोई काम ज़ाहिर हो तो उसे मोजिज़ा कहते हैं। नबी से उस के इज़हारे नुबुव्वत से पहले कोई काम आ़दत के ख़िलाफ़ ज़ाहिर हो तो उसे इरहास कहते हैं। ख़िलाफ़े आ़दत काम का मतलब ऐसे काम से है जिसे अ़क़्ल तस्लीम करने से आ़जिज़ हो और जिन का करना आ़म आदमी के लिए नामुमकिन हो।

और वली से ऐसी बात ज़ाहिर हो तो उसको करामत कहते हैं। आ़म मोमिनीम से अगर इस तरह का कोई काम होता तो उसे मुऊ़नत कहते हैं और बेबाक लोगों फ़ासिक़ों,फ़ाजिरों या काफ़िरों से जो उनके मुताबिक़ ज़ाहिर हो उसे इस्तिदराज कहते हैं।

अक़ीदा :– अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम अपनी अपनी क़ब्रों में उसी तरह हक़ीक़ी ज़िन्दगी के साथ

ज़िन्दा हैं जैसे दुनिया में थे। खाते पीते हैं जहाँ चाहें आते जाते हैं। अलबत्ता अल्लाह तआ़ला के वादे कि "हर नफ़्स को मौत का मज़ा चखना है" के मुताबिक़ नबियों पर एक आन के लिए मौत आई और फिर उसी तरह ज़िन्दा हो गए जैसे पहले थे। उनकी हयात शहीदों की हयात से कहीं ज़्यादा बलन्द व बाला है इसीलिए शरीअ़त का क़ानून यह है कि शहादत के बाद शहीद का तर्का (बचा हूआ माल) तक़सीम होगा। उसकी बीवी इद्दत गुज़ार कर दूसरा निकाह कर सकती है लेकिन नबियों के यहाँ यह जाइज़ नहीं। अब तक नुबुव्वत के बारे में जो अ़क़ीदे बताए गए इनमें तमाम नबी शरीक हैं।

अब कुछ वह चीज़ें जो हम सब के आक़ा व मौला मदनी ताजदार सरकारे रिसालत हज़रत मुहम्मद स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के लिए ख़ास़ हैं बयान किये जाते हैं।

हमारे नबी की चन्द खुसूसियात

अ़क़ीदा :– हज़रत मुहम्मद स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के अ़लावा दूसरे नबियों को किसी एक ख़ास़ क़ौम के लिए भेजा गया और हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम तमाम मख़लूक़, इन्सानोंजिनों,फ़रिश्तों ,हैवानात और जमादात सब के लिए भेजे गये। जिस तरह इन्सान के ज़िम्मे हुजूर की इताअ़त फर्ज़ और ज़रूरी है इसी तरह हर मख़लूक़ पर हुजूर की फ़रमाँबरदारी फ़र्ज़ और ज़रूरी है।

अ़क़ीदा :– हुज़ूर अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहिवसल्लम फ़रिश्ते, इन्सान,जिन्न, हूर ग़िलमान, हैवानात और जमादात ग़र्ज़ तमाम आ़लम के लिए रहमत हैं और मुसलमानों पर तो बहुत ही मेहरबान हैं।

अ़क़ीदा :– हुज़ूर ख़ातमुन्नबीय्यीन हैं अल्लाह तआ़ला ने नुबुव्वत का सिलसिला हुज़ूर पर ख़त्म कर दिया। हुज़ूर के ज़माने में या उनके बाद कोई नबी नहीं हो सकता जो कोई हुज़ूर के ज़माने में या उनके बाद किसी को नुबुव्वत मिलना माने या जाइज़ समझे वह काफ़िर है।

अ़क़ीदा :– अल्लाह तआ़ला की तमाम मख़लूक़ात से हुज़ूर स़ल्लल्लाहु अ़लैहिवसल्लम अफ़ज़ल हैं कि औरों को अलग अलग जो कमालात दिए गए हुज़ूर में वह सब इकट्टा कर दिए गए और उनके अलावा हुज़ूर को वह कमालात मिले जिन में किसी का हिस़्सा नहीं बल्कि औरों को जो कुछ मिला हुज़ूर के तुफ़ैल में बल्कि हुज़ूर के मुबारक हाथों से मिला और 'कमाल' इसलिए कमाल हुआ कि कमाल हुज़ूर की सिफ़त है और हुज़ूर अपने रब के करम से अपने नफ़्से ज़ात में कामिल और अकमल हैं । हुज़ूर का कमाल किसी वस्फ़ से नहीं बल्कि उस वस्फ़ का कमाल है कि कामिल हुज़ूर स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सिफ़त बनकर ख़ुद कमाल,कामिल और मुकम्मल हो गया कि जिसमें पाया जाए उसको कामिल बना दे।

अ़क़ीदा :– हुज़ूर जैसा किसी का होना मुहाल है। हुज़ूर की ख़ास़ सिफ़्तों में अगर कोई किसी को हुज़ूर का मिस्ल बताए वह गुमराह या काफ़िर है।

अ़क़ीदा :– हुज़ूर स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को अल्लाह तआ़ला ने "महबूबियते कुबरा" का मरतबा दिया है। यहाँ तक कि तमाम मख़लूक़ मौला की रज़ा चाहती है और अल्लाह तआ़ला हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की रज़ा चाहता है।

अक़ीदा :– हुजूर स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ख़स़ाइस़ में से एक यह भी है। कि उन्हें मेअ़राज हुई। हुजूर अ़लैहिस्सलाम अपने ज़ाहिरी जिस्म के साथ मस्जिदे ह़राम से मस्जिदे अक्सा और वहाँ से सातों आसमानों कुर्सी और अ़र्श तक बल्कि अ़र्श से भी ऊपर रात के एक थोड़े से हिस़्से में तशरीफ़ ले गए और उन्हें वह ख़ास़ क़ुरबत ह़ासि़ल हूई जो कभी भी न किसी बशर को हुई और न किसी फ़रिश्ते को मिली और न ऐसी क़ुरबत किसी को मिल सकती है।

हुजूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने अल्लाह का जमाल अपने सर की आँखों से देखा और अल्लाह का कलाम बिना किसी ज़रिए के सुना और ज़मीन व आसमान के हर ज़र्रे को तफ़सी़ल से देखा। पहले और बाद की सारी मख़लूक़ हुजूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की मुह़ताज और न्याज़मन्द है यहाँ तक कि ह़ज़रते इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अ़लैहिस्सलाम भी।

अक़ीदा :– क़ियामत के दिन शफ़ाअ़ते कुबरा का मरतबा हुजूर अ़लैहिस्सलाम के ख़स़ाइस़ में से एक खुसूसियत है कि जब तक हुजूर शफ़ाअ़त का दरवाज़ा नहीं खोलेंगे किसी को शफ़ाअ़त की मजाल न होगी बल्कि जितने भी शफ़ाअ़त करने वाले होंगे हुजूर के दरबार में शफ़ाअ़त लायेंगे और अल्लाह के दरबार में हुजूर की यह "शफ़ाअ़ते कुबरा" मोमिन,काफ़िर, फ़रमाँबरदारी करने वाले और गुनाहगार सबके लिए है। क्यूँकि वह हिसाब किताब का इन्तेज़ार जो बहुत सख़्त जान लेवा होगा जिसके लिए लोग तमन्नायें करेंगे कि काश जहन्नम में फ़ेंक दिए जाते और इस इन्तेज़ार से नजात मिल जाती,इस बला से छुटकारा काफ़िरों को भी हुजूर की वजह से मिलेगा जिस पर पहले के बाद के मुवाफ़िक़, मुख़ालिफ़, मोमिन और काफ़िर सब लोग हुजूर की ह़म्द (त़ारीफ़)करेंगे। इसी का नाम मक़ामे मह़मूद है।

शफ़ाअ़त की और भी क़िस्में हैं जैसे यह कि हुजूर स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बहुतों को बिना हिसाब जन्नत में दाख़िल करायेंगे जिनमें चार अरब नव्वे करोड़ की गिनती का पता है बल्कि और भी ज़्यादा हैं जिन्हें अल्लाह जानता है और अल्लाह तआ़ला के प्यारे रसूल ह़ज़रत मुह़म्मद स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जानते हैं।

बहुत से वह लोग होंगे जिनका ह़िसाब हो चुका है और जहन्नम के लाइक़ हो चुके, उनको हुजूर दोज़ख़ से बचायेंगे। और ऐसे लोग भी होंगे जिनकी शफ़ाअ़त करके जहन्नम से निकालेंगे। हुजूर की शफ़ाअ़त से कुछ लोगों के दर्जे बलन्द किए जायेंगे और ऐसे भी होंगे जिनका अ़ज़ाब हल्का कियाजायेगा।

शफ़ाअ़त चाहे हुजूर ख़ुद फ़रमायें या किसी दुसरे को शफ़ाअ़त की इजाज़त दें हर त़रह़ की शफ़ाअ़त हुजूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के लिए साबित है। हुजूर की किसी क़िस्म की शफ़ाअ़त का इन्कार करना गुमराही है।

अक़ीदा :– शफ़ाअ़त का मनसब हुजूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को दिया जा चुका। सरकार ख़ुद इरशाद फ़रमाते हैं कि :– أُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ

तर्जमा :–"मुझे शफ़ाअ़त का मनसब दिया जा चुका है ।और अल्लाह तबारक व तआ़ला फ़रमाता है

कि :- وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ

तर्जमा :– "मग़फ़िरत चाहो(ऐ रसूल)अपने ख़ासों के गुनाहों और आम मोमिनीन और मोमिनात के गुनाहों की।"

"ऐ अल्लाह हम भी तेरे महबूब की शफ़ाअत के मुहताज हैं। तू हमारी फ़रियाद सुन ले।" हमारी दुआ है कि :–

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا شَفَاعَةَ حَبِيْبِكَ الْكَرِيْمِ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّ لَا بَنُوْنَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ .

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह हमको अपने हबीबे मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत अता फ़रमा जिस दिन न माल काम आयेगा न बेटे मगर वह जो अल्लाह के पास हाज़िर हुआ सलामत दिल लेकर"। शफ़ाअत के कुछ और हालात और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की और दूसरी खुसूसियतें जो क़ियामत के दिन ज़ाहिर होंगी इन्शाअल्लाहु तआला आख़िरत के हालात में बताई जायेंगी।

नबी से महब्बत

हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महब्बत अस्ल ईमान बल्कि ईमान उसी महब्बत ही का नाम है। जब तक हुज़ूर की महब्बत माँ,बाप,औलाद और सारी दुनिया से ज़्यादा न हो आदमी मुसलमान हो ही नहीं सकता।

अक़ीदा :– हुज़ूर की इताअत ऐन (बिल्कुल)इताअते इलाही है और इताअते इलाही बिना हुज़ूर की इताअत के नामुमकिन है। यहाँ तक कि कोई मुसलमान अगर फ़र्ज़ पढ़ रहा हो और हुज़ूर उसे याद फ़रमाएं मतलब आवाज़ दें तो वह फ़ौरन जवाब दे और उनकी ख़िदमत में हाज़िर हो। वह शख़्स जितनी देर तक भी हुज़ूर से बात करे वह उस नमाज़ में ही है। इससे नमाज़ में कोई ख़लल नहीं।

अक़ीदा :– हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व अज़मत का एअ्तिक़ाद रखना ईमान का हिस्सा और ईमान का रुक्न है और ईमान के बाद ताज़ीम का काम हर फ़र्ज़ से पहले है। हुज़ूर की महब्बत भरी इताअत के बहुत से वाक़िआत मिलते हैं। यहाँ समझाने के लिए नीचे दो वाक़िआत लिखे जाते हैं जो कि हदीसे पाक में गुज़रे।

(1)हदीस शरीफ़ में है कि 'ग़ज़वये ख़ैबर'से वापसी में हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 'सहबा'नाम की जगह पर अस्र की नमाज़ पढ़कर मौला अली मुश्किल कुशा रदियल्लाहु तआला अन्हु के ज़ानू पर अपना मुबारक सर रख कर आराम फ़रमाने लगे। मौला अली ने अस्र की नमाज़ नहीं पढ़ी थी। देखते देखते सूरज डूब गया और अस्र की नमाज़ का वक़्त चला गया लेकिन हज़रते अली ने अपना ज़ानू इस ख़्याल से नहीं सरकाया कि शायद हुज़ूर के आराम में ख़लल आये। जब हुज़ूर ने अपनी आँखें खोलीं तो हज़रते अली ने अपनी अस्र की नमाज़ के जाने का हाल बताया। हुज़ूर ने सूरज को हुक्म दिया डूबा हुआ सूरज पलट आया। मौला अली ने अपनी अस्र की नमाज़ अदा की और जब हज़रते अली ने नमाज़ अदा कर ली तो सूरज फिर डूब गया।

इससे साबित हुआ कि मौला अली ने हुज़ूर की इताअत और महब्बत में इबादतों में सबसे अफ़ज़ल नमाज़ और वह भी बीच वाली(अस्र)की नमाज़ हुज़ूर के आराम पर कुर्बान कर दी क्यूँकि

हकीकत में बात यह है कि इबादतें भी हमें हुज़ूर ही के सदके में मिली हैं।

(2)एक दूसरी हदीस यह है कि हिजरत के वक़्त पहले ख़लीफ़ा हज़रते अबूबक रदियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर के साथ थे। रास्ते में "ग़ारे सौर"मिला। ग़ारे सौर में हज़रत अबूबक पहले गए देखा कि ग़ार में बहुत से सूराख़ हैं। उन्होंनें अपने कपड़े फ़ाड़ फ़ाड़ कर ग़ार के सूराख़ बन्द किए इत्तिफ़ाक़ से एक सूराख़ बाक़ी रह गया उन्होंने उस सूराख़ में अपने पाँव का अँगूठा रख दिया फ़िर हुज़ूर सल्ललाहु तआला अलैहि वसल्लम को बुलाया सरकार तशरीफ़ ले गये और हज़रते अबूबक सिद्दीक़ रदियल्लाहु तआला अन्हु के जानू पर सर रखकर आराम फ़रमाने लगे। उधर अँगूठे वाले सूराख़ में एक ऐसा साँप था जो सरकार की ज़ियारत के लिए बहुत दिनों से बेताब था। उसने अपना सर हज़रते सिद्दीक़ के अँगूठे पर रगड़ा लेकिन इस ख़्याल से कि हुज़ूर के आराम में फ़र्क़ न आए पाँव को नहीं हटाया। आख़िरकार उस साँप ने काट लिया। साँप के काटने से हज़रते सिद्दीके अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु को बहुत तकलीफ़ हूई। यहाँ तक कि हज़रते अबूबक की आँखों में आँसू आ गए और आँसूओं के क़तरे हुज़ूर के चेहरए अनवर पर गिरे। सरकार ने आँखें खोल दीं। हज़रते अबूबक ने सरकार से अपनी तकलीफ़ और साँप के काटने का हाल बताया। हुज़ूर ने तकलीफ़ की जगह पर अपना लुआबे दहन लगा दिया। लुआबे दहन लगाते ही उन्हें आराम मिल गया लेकिन हर साल उन्हीं दिनों में साँप के ज़हर का असर ज़ाहिर होता था बारह बरस के बाद उसी ज़हर से हज़रते अबूबक की शहादत हूई।

साबित हूआ कि जुमला फ़राइज़ फ़ूरूअ् हैं।
असलुल उसूल बन्दगी उस ताजवर की हैं।

"आलाहज़रत रदियल्लाहु तआला अन्हु"

अक़ीदा :– हुज़ूर की ताज़ीम और तौक़ीर अब भी उसी तरह फ़र्ज़े ऐन है जिस तरह उस वक़्त थी कि जब हुज़ूर हमारी ज़ाहिरी आँखों के सामने थे। जब हुज़ूर का ज़िक्र आए तो बहुत आजिज़ी, इन्किसारी और ताज़ीम के साथ सुने और हुज़ूर का नाम लेते ही और उनका नामे पाक सुनते ही दुरूद शरीफ़ पढ़ना वाजिब है।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَعْدَنِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَ اٰلِهِ الْكِرَامِ وَ صَحْبِهِ الْعِظَامِ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह तू दूरूद, सलाम और बरकत नाज़िल फ़रमा हमारे आक़ा व मौला पर जिनका नामे पाक मुहम्मद है। जो सख़ावत और करम की कान हैं,उनकी करामत वाली औलादों और उनके अज़मत वाले दोस्तों पर भी"।

हुज़ूर से महब्बत की अलामत यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका ज़िक्र करे और ज़्यादा से ज़्यादा उन पर दूरूद भेजे। और जब हुज़ूर का नाम लिखा जाए तो "सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम"पूरा लिखा जाए। कुछ लोग 'सलअम'या 'स्वाद'लिख देते हैं यह नाजाइज़ व हराम है। हुज़ूर से महब्बत की पहचान यह भी है। कि हुज़ूर के आल,असहाब, मुहाजिरीन,अन्सार तमाम सिलसिले और तअल्लुक़ रखने वालों से महब्बत रखी जाए और अगरचे अपना बाप,बेटा,भाई और ख़ानदान का कोई क़रीबी क्यों न हो अगर हुज़ूर से उसे किसी तरह की दुश्मनी हो तो उससे अदावत रखी जाए अगर कोई ऐसा न करे तो वह हुज़ूर के महब्बत के दावे में झूटा है। सब जानते

हैं। कि सहाबए किराम ने हुजूर सल्ललल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महब्बत में अपने रिश्तेदारों क़रीबी लोगों बाप भाईयों और वतन को छोड़ा क्यूँकि यह कैसे हो सकता है कि अल्लाह और उसके रसूल से महब्बत भी हो और उनके दुश्मनों से भी महब्बत बाक़ी रहे। यह दोनों चीज़ें एक दूसरे की ज़िद हैं और दो अलग अलग रास्ते हैं,एक जन्नत तक पहुँचाता है और एक जहन्नम के घाट उतारता है।

हुजूर से महब्बत की निशानी यह भी है कि हुज़र की शान में जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए जायें वह अदब में डूबे हुए हों। कोई ऐसा लफ़्ज़ जिससे ताज़ीम में कमी की बू आती हो कभी ज़ुबान पर न लाए।

अगर हुज़ूर को पुकारना हो तो उनको उनके नाम के साथ न पुकारो मुहम्मद या मुस्तफ़ा,या मुर्तज़ा न कहो बल्कि इस तरह कहो :–

يَا نَبِيَّ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ۔

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह के नबी,ऐ अल्लाह के रसूल,ऐ अल्लाह के हबीब। ज़्यारत की दौलत मिल जाए तो रौज़े के सामने चार हाथ के फ़ासले से अदब के साथ हाथ बँध कर (जैसे नमाज़ में खड़े होते हैं)खड़ा हो कर सर झुकाए हुए सलात ओ सलाम अर्ज़ करे। बहुत क़रीब न जायें और न इधर उधर देखें और ख़बरदार कभी आवाज़ बलन्द न करना क्योंकि उम्र भर का सारा किया धरा अकारत (बेकार) जाएगा।

हुज़ूर से महब्बत की निशानी यह भी है कि हुज़ूर की बातें उनके काम और उनका हाल लोंगों से पूछे और उनकी पैरवी करे। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल किसी अमल और किसी हालत को अगर कोई हिक़ारत की नज़र से देखे वह काफ़िर है।

अक़ीदा :– हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तआला के नाइब हैं। सारा आलम हुज़ूर के तसर्रुफ़ (इख़्तियार या क़ब्ज़े) में कर दिया गया है।जो चाहें करें,जिसे जो चाहें दें,जिससे जो चाहें वापस ले लें। तमाम जहान में उनके हुक्म का फेरने वाला कोई नहीं तमाम जहान उनका महकूम है। वह अपने रब के सिवा किसी के महकूम नहीं और तमाम आदमियों के मालिक हैं। जो उन्हें अपना मालिक न जाने वह सुन्नत की मिठास से महरूम रहेगा। तमाम ज़मीन उनकी मिल्कियत है,तमाम जन्नत उनकी जागीर है,मलकूतुस्समावाति वल अर्द यानी आसमानों और ज़मीनों के फ़रिश्ते हुज़ूर ही के दरबार से तक़सीम होती हैं। दुनिया और आख़िरत हुज़ूर की देन का एक हिस्सा है। शरीअत के अहकाम हुज़ूर के क़ब्ज़े में कर दिए गए कि जिस पर जो चाहें हराम कर दें और जिस के लिए जो चाहें हलाल कर दें और जो फ़र्ज़ चाहें माफ़ कर दें।

अक़ीदा :– सब से पहले नुबुव्वत का मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मिला और 'मीसाक़ के दिन' तमाम नबियों से हुज़ूर पर ईमान लाने और हुज़ूर की मदद कर ने का वअ़दा लिया गया। और इसी शर्त पर उन नबियों को यह बड़ा मनसब दिया गया ।'मीसाक़' का मतलब यह है कि एक रोज़ अल्लाह तआला ने सब रूहों को जमा करके यह पूछा कि "क्या मैं तुम्हारा रब

नहीं हूँ"तो जवाब में सब से पहले हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ,कहा था तो अल्लाह तआला ने सब को और सारे नबियों को हुज़ूर पर ईमान लाने और उनकी मदद करने का वादा लिया था। यही 'मीसाक़ का मतलब है। हुज़ूर सारे आलम के नबी तो हैं ही लेकिन साथ ही नबियों के भी नबी हैं और सारे नबी हुज़ूर के उम्मती हैं। इसीलिए हर नबी ने अपने अपने ज़माने में हुज़ूर के क़ाइम मुक़ाम काम किया अल्लाह तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनव्वर किया। इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह मौजूद हैं। जैसा कि एक शायर का अरबी शेर है।

كَالشَّمْسِ فِىْ وَسْطِ السَّمَاءِ وَ نُوْرِهَا يَغْشَى الْبِلَادِ مَشَارِقًا وَّ مَغَارِبًا

तर्जमा :– "आप ऐसे नूर हैं जैसा कि सूरज बीच आसमान में है और उसकी रौशनी तमाम शहरों में बल्कि मशरिक़ से मग़रिब तक हर सम्त में फैली हुई है।"

गर न बीनद बरोज़ शप्परा चश्म

चश्मये आफ़ताब रा चे गुनाह

तर्जमा :– "अगर चमगादड़ दिन को नहीं देखता तो इसमें सूरज की किरनों का क्या कुसूर है"।

एक ज़रूरी मसअ्ला

अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से जो लग़ज़िशें हुई उनका ज़िक्र क़ुर्आन शरीफ़ और हदीस शरीफ़ की रिवायत के अलावा बहुत सख़्त हराम है। दूसरों को उन सरकारों के बारे में ज़बान खोलने की मजाल और हिम्मत नहीं। अल्लाह तआला उनका मालिक है जिस तरह चाहे सुलूक करे और वह उसके प्यारे बन्दे हैं,अपने रब के लिए जैसी चाहें इनकिसारी करें। किसी दूसरे के लिए यह हक़ नहीं कि नबियों ने जो अल्फ़ाज अपने लिए इनकिसारी से इस्तेमाल किए हैं उनको सनद बनाए और उनके लिए बोले।

फिर यह कि उनके यह काम जिनको लग़ज़िश कहा गया है उनसे बहुत से फ़ायदों और बरकतों का नतीजा निकलता है।

सय्यिदना हज़रते आदम अलैहिस्सलाम की एक लग़जिश को देखिए कि उससे कितने फ़ायदे हैं। अगर वह जन्नत से न उतरते तो दुनिया आबाद न होती,किताबें न उतरतीं,नबी और रसूल न आते आदमी न पैदा होते,आदमियों की ज़रूरत की लाखों चीज़ें न पैदा की जातीं,जिहाद न होते और करोड़ों फ़ायदे की वह चीज़ें जो हज़रत आदम की लग़ज़िश के नतीजे में पैदा की गई हैं उनका दरवाज़ा बन्द रहता। उन तमाम चीज़ों के वुजूद में आने के लिए हज़रते आदम अलैहिस्सलाम की एक लग़ज़िश का मुबारक नतीजा अच्छा फ़ल है बुनियाद है। फिर यह कि नबियों की लग़ज़िश का यह आलम है कि सिद्दीक़ीन की नेकियों से भी फ़ज़ीलत रखती हैं। हमारी और आप की क्या गिनती। जैसा कि मसल मशहूर है कि :–

حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّاٰتِ الْمُقَرَّبِيْنَ

तर्जमा :– "नेक लोगों के अच्छे काम मुक़र्रबीन के लिए बुराईयाँ हैं।"

मलाइका (फ़िरिश्तों)का बयान

फ़िरिश्ते नूरी हैं। अल्लाह तआ़ला ने उन को यह त़ाक़त दी है कि जो शक्ल चाहें बन जायें फ़िरिश्ते कभी इन्सान की शक्ल बना लेते हैं और कभी दूसरी शक्ल में।

अ़क़ीदा :– फ़िरिश्ते वही करते हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है। फ़िरिश्ते अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करते। न जान बूझ कर,न भूले से और न ग़लती से। क्यूँकि वह अल्लाह के मा़सूम बन्दे हैं और हर त़रह के सग़ीरा और कबीरा (छोटे–बड़े) गुनाहों से पाक हैं।

अ़क़ीदा :– फ़िरिश्तों के ज़िम्मे अलग अलग काम हैं। कुछ वह हैं कि जिनके ज़िम्मे नबियों के पास 'वही'लाने का काम किया गया। कोई पानी बरसाता कोई हवा चलाता है कोई रोज़ी पहुँचाता है कोई माँ के पेट में बच्चे की सूरतें बनाता है कोई इन्सान के बदन में कमी बेशी करता है कुछ वह फ़िरिश्ते हैं जो इन्सान की दुश्मनों से हिफ़ाज़त करते हैं। कुछ वह हैं जो अल्लाह व रसूल का ज़िक्र करने वालों के मजमे को तलाश करके उस मजमे में हाज़िर होते हैं। किसी के मुतअ़ल्लिक़ इन्सान के आ़माल नामा लिखने का काम कुछ वह हैं जो सरकारे रिसालत अ़लैहिस्सलाम के दरबार में हाज़िरी देने का काम करते हैं। किसी के मुतअ़ल्लिक़ सरकार की बारगाह में मुसलमानों की स़लातु सलाम पहुँचाने का काम है। किसी के ज़िम्मे मुर्दों से सवाल करने का काम है कोई रूह क़ब्ज़ करता है। कुछ अ़ज़ाब देने का काम करते हैं। किसी के ज़िम्मे सूर फूँकने का काम है। इनके अ़लावा और भी बहुत से काम हैं जो फ़िरिश्ते अन्जाम देते हैं। इसके बावजूद यह फ़िरिश्ते न तो क़दीम हैं और न ख़ालिक़। बल्कि सब मख़लूक़ हैं। फ़िरिश्तों को क़दीम या ख़ालिक़ मानना कुफ़्र है। फ़िरिश्ते न मर्द हैं न औ़रत।

अ़क़ीदा :– फ़िरिश्ते अनगिनत हैं उनकी गिनती वही जाने जिसने उन्हें पैदा किया है और अल्लाह के बताये से उसके प्यारे महबूब जानते हैं वैसे चार फ़िरिश्ते बहुत मशहूर हैं

1–हज़रते जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम
2–हज़रते मीकाईल अ़लैहिस्सलाम
3–हज़रते इसराफ़ील अ़लैहिस्सलाम
4–हज़रते इज़राईल अ़लैहिस्सलाम

यह फ़िरिश्ते दूसरे सारे फ़िरिश्तों से अफ़ज़ल हैं। किसी फ़िरिश्ते के साथ कोई हल्की सी गुस्ताख़ी भी कुफ़्र है। जाहिल लोग अपने किसी दुश्मन या ऐसे को देखकर जिस पर ग़ुस्सा आये उसे देखते ही कहते है कि 'मलकुल मौत 'या 'इज़राईल'आ गया। लेकिन उन जाहिलों को ख़बर नहीं कि यह कलिमा कुफ़्र के क़रीब है।

अ़क़ीदा :– फ़िरिश्तों के बारे में यह अ़क़ीदा रखना या ज़ुबान से कहना कि फ़िरिश्तों का वुजूद नहीं है या यह कहना कि फ़रिश्ता नेकी की कुव्वत का नाम है और इसके सिवा कुछ नहीं यह दोनों बातें कुफ़्र हैं।

जिन्न का बयान

अल्लाह तआ़ला ने जिन्नों को आग से पैदा किया। इनमें बाज़ को यह त़ाक़त दी है कि जो शक्ल चाहें बन जायें। इनकी उ़म्रें बहुत ज्यादा होती हैं। इनके शरीरों को शैत़ान कहते हैं। यह सब

इन्सान की तरह अक़्ल वाले,रूह और जिस्म वाले हैं। इनकी औलादें भी होती हैं। खाते पीते हैं। जीते मरते हैं।

अक़ीदा :– इनमें मुसलमान भी हैं और काफ़िर भी मगर इनके कुफ़्फ़ार इन्सानों की बनिस्बत बहुत ज़्यादा हैं और इनमें नेक मुसलमान भी हैं और फ़ासिक़ भी हैं, बदमज़हब भी। इनमें फ़ासिक़ों की तादाद इन्सानों से ज़्यादा है।

अक़ीदा :– जिन्नों के वुजूद का इन्कार करना या उनको बदी की कुव्वत का नाम देना कुफ़्र है।

आलमे बरज़ख़ का बयान

दुनिया और आख़िरत के बीच एक और आलम है जिसको बरज़ख़ कहते हैं। मरने के बाद और क़ियामत से पहले तमाम इन्सानों और जिनों को अपने अपने मरतबे के लिहाज़ से बरज़ख़ में रहना होता है। और यह आलम इस दुनिया से बहुत बड़ा है। दुनिया बरज़ख़ के मुक़ाबले में ऐसी है जैसे माँ के पेट में बच्चा। बरज़ख़ में कोई आराम से है और कोई तकलीफ़ से।

अक़ीदा :– हर एक के लिए मौत का दिन और वक़्त मुक़र्रर है। जिस की जितनी ज़िन्दगी है उसमें कमी बेशी नहीं हो सकती जब ज़िन्दगी के दिन पूरे हो जाते हैं उस वक़्त हज़रते इज़राईल अलैहिस्सलाम रूह क़ब्ज़ करने के लिए आते हैं। उस वक़्त उस आदमी को उसके दाएं बाएं हर तरफ़ और जहाँ तक निगाह काम करती है। फ़िरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के आस पास रहमत के फ़िरिश्ते होते हैं और काफ़िर के दाहिने बाएं अज़ाब के फ़िरिश्ते होते हैं। उस वक़्त हर एक पर इस्लाम की हक़्क़ानियत सूरज से ज़्यादा रौशन हो जाती है। उस वक़्त अगर कोई काफ़िर ईमान लाना चाहे तो उसका ईमान नहीं माना जायेगा। क्यों कि वह इसलाम की हक़्क़ानियत देख कर ईमान लाना चाहता है और हुक्म ईमान बिल ग़ैब का है यानी बे देखे ईमान लाने का और अब ग़ैब यानी बिना देखे न रहा लिहाज़ा ईमान क़बूल नहीं।

अक़ीदा :– मरने के बाद भी रूह का रिश्ता इन्सान के बदन के साथ बाक़ी रहता है। रूह अगरचे बदन से अलग हो गई मगर बदन पर जो बीतेगी रूह को पता होगा और रूह पर उसका असर ज़रूर पड़ेगा जैसा कि दुनिया में जब बदन का असर रूह पर होता है उसी तरह या उससे भी ज़्यादा मरने के बाद होता है।

इन्सान जब अपनी दुनिया की ज़िन्दगी ठंडा पानी,हवा, नर्म बिस्तर या आराम देने वाली सवारियाँ अपने इस्तेमाल में लाता है तो इन चीज़ों का असर जिस्म पर पड़ता है मगर आराम और राहत रूह को मिलती है। ऐसे ही जब इन्सान गर्म पानी,गर्म हवा,सख़्त बिस्तर और तकलीफ़ देने वाली सवारियों को इस्तेमाल में लाता है तो उनकी गर्मी और सख़्ती का असर इन्सान के जिस्म पर पड़ता है लेकिन तकलीफ़ रूह को होती है लेकिन जो चीज़ इन्सान के जिस्म पर असर कर के रूह के आराम और तकलीफ़ का सबब बनती है रूह की तकलीफ़ और आराम इन्हीं असबाब पर मौक़ूफ़ नहीं बल्कि कुछ ऐसे सबब भी हैं जिनका इन्सान के जिस्म से कोई तअ़ल्लुक़ नहीं। जैसे कि क़भी इन्सानी रूह को ख़ुशी होती है और कभी ग़म। और ज़ाहिर है कि इन चीज़ों का तअ़ल्लुक़ इन्सानी

जिस्म से कुछ भी नहीं बल्कि रूह के लिए आराम और तकलीफ़ के यह असबाब अलग से हैं।

अक़ीदा :– मरने के बाद मुसलमान की रूहें अपने अपने दर्जों के मुताबिक़ अलग अलग जगहों में रहती हैं। कुछ की क़ब्र पर कुछ की चाहेज़मज़म शरीफ़ में कुछ की आसमान और ज़मीन के बीच कुछ की पहले आसमान से सातवें आसमान तक कुछ की आसमानों से भी आला इल्लीन में रहती हैं। मगर यह रूहें जहाँ कहीं भी रहें उनका अपने जिस्म से रिश्ता उसी तरह बराबर क़ाइम रहता है। जो लोग उनकी क़ब्रों पर जाते हैं उनको वह पहचान लेते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। और रूह के देखने के लिए यही ज़रूरी नहीं कि रूहें अपनी क़ब्रों से ही देखे बल्कि हदीस शरीफ़ में रूह की मिसाल इस तरह है कि एक चिड़िया पहले पिंजरे में बन्द थी और अब उसे छोड़ दिया गया और इमामों ने यह लिखा है कि।

اِنَّ النُّفُوْسَ الْقُدْسِيَّةَ اِذَا تَجَرَّدَتْ عَنِ الْعَلَائِقِ الْبَدْنِيَّةِ اتَّصَلَتْ

بِالْمَلَاءِ الْاَعْلٰى وَتَرٰى وَ تَسْمَعُ الْكُلَّ كَالْمُشَاهِدِ

तर्जमा :–"बेशक पाक जानें जब बदन की गिरफ़्त से अलग होती हैं तो 'आलमे बाला' से मिल जाती हैं। और सब कुछ ऐसा देखती सुनती हैं जैसे यहीं मौजूद हैं।"

और हदीस शरीफ़ में भी है कि :– اِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ يُخَلّٰى سَرْبُهٗ حَيْثُ شَاءَ

तर्जमा :–" जब मुसलमान मरता है तो उसका रास्ता खोल दिया जाता है कि जहाँ चाहे जाये।"

हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ साहिब मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि "रूह रा क़ुर्ब व बोअ्दे मकानी यकसाँ अस्त" **तर्जमा** :– रूह के लिए जगह का क़रीब और दूर होना बराबर है।

मतलब यह है कि मोमिन की रूहें बिल्कुल आज़ाद हैं कि जब चाहें और जहाँ चाहें पहुँच जाएं। उन्हें क़ैद में नहीं रखा गया है। काफ़िरों की ख़बीस रूहों का यह हाल है कि कुछ की उनके मरघट या क़ब्र पर रहती हैं कुछ को "चाहे बरहूत" में (यमन में एक नाला है जिसका नाम चाहे बरहूत है) कुछ की रूहें पहली,दूसरी सातवीं ज़मीन तक और कुछ की रूहें उनके भी नीचे 'सिज्जीन में रहती हैं और वह भी जहाँ कहीं हों जो उनकी क़ब्र या मरघट पर जाए उसे देखते पहचानते और बात सुनते हैं। उन्हें आने जाने का इख़्तियार नहीं क्यूँकि वह क़ैद में हैं।

अक़ीद :– यह अक़ीदा रखना कि रूह किसी दूसरे आदमी या किसी जानवर के बदन में चली जाती है बातिल और कुफ़्री अक़ीदा है। इस अक़ीदे को 'तनासुख़' और 'आवा गवन' का अक़ीदा कहते हैं या पुनर्जन्म भी कहते हैं। पुनर्जन्म को सच जानना कुफ़्र है।

अक़ीदा :– मौत का मतलब यह है कि रूह जिस्म से अलग हो जाए। इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं कि रूह को मौत आ जाती है या रूह फ़ना हो जाती है। अगर कोई रूह के लिए फ़ना होना माने तो वह बदमज़हब है।

अक़ीदा :– मुर्दे कलाम भी करते हैं और उनकी बातों को आम लोग जिन और इन्सान नहीं सुन सकते लेकिन तमाम क़िस्म के जानवर वग़ैरा सुनते हैं।

अक़ीदा :– जब मुर्दे को क़ब्र में दफ़न करते हैं उस वक़्त क़ब्र उसको दबाती है। अगर वह मुसलमान है तो क़ब्र उसे इस तरह दबाती है जैसे माँ प्यार में अपने बच्चे को चिपटा लेती है और

अगर काफ़िर है तो उसको इस ज़ोर से दबाती है कि इधर की पसलियाँ उधर हो जाती हैं।

अक़ीदा :– दफ़्न करने वाले जब दफ़्न कर के चले जाते हैं तो मुर्दे उनके जूतों की आवाज़ सुनते हैं। उस वक़्त उनके पास दो फ़िरिश्ते अपने दातों से ज़मीन चीरते हुऐ आते हैं। उनकी शक्लें निहायत डरावनी और नीली,देग के बराबर शोले की तरह होती हैं। उनके सर से पाँव तक डरावने बाल होते हैं। उनके दाँत कई हाथ के होते हैं जिनमें वह ज़मीन चीरते हुए आयेंगे। इन दोनों फ़िरिश्तों में से एक को 'मुनकर'और दूसरे को 'नकीर' कहते हैं। यह फ़िरिश्ते मुर्दे को झिंझोड़ कर झिड़क कर उठाते हैं और बहुत सख़्ती के साथ सख़्त आवाज़ में मुर्दे से सवालात करते हैं। मुर्दे से पहला सवाल यह किया जाता है कि :– مَنْ رَبُّكَ **तर्जमा** :– तेरा रब कौन है ? फ़रिश्ते दूसरा सवाल यह करते हैं कि :– مَا دِيْنُكَ **तर्जमा** :– तेरा दीन क्या है? और मुर्दे से तीसरा सवाल यह किया जाता है कि :– مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ **तर्जमा** :– "(दुनिया में) इनके बारे में तू क्या कहता था।" मुर्दा अगर मुसलमान है तो पहले सवाल के जवाब में कहेगा कि :– رَبِّىَ اللّٰهُ तर्जमा :– मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल का जवाब यह देगा कि:– دِيْنِىَ الْإِسْلَامُ **तर्जमा** :–मेरा दीन इस्लाम है। और तीसरे सवाल का जवाब मोमिन और मुसलमान मुर्दा यह देगा कि:– هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **तर्जमा** :– वह तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम हैं।

फ़िरिश्तें उससे पुछेंगे कि यह सब चीज़ें तुझे किसने बताईं तो वह जवाब देगा मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी और किताब को सच्चा समझ कर उस पर ईमान लाया। कुछ और रिवायतों में यह है कि फ़िरिश्ते सवालों के जवाब पाकर यह कहेंगे कि हमें तो पता था कि तू यही कहेगा।

उस वक़्त एक आवाज़ आयेगी कि मेरे बन्दे ने सच कहा। इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ जन्नत का लिबास पहनाओ इस के लिए जन्नत की तरफ़ एक दरवाज़ा खोल दो जन्नत की हवा और खुश्बू उसके पास आती रहेगी और जहाँ तक नज़र फैलेगी वहाँ तक उसकी क़ब्र खोल दी जाएगी और इससे कहा जायेगा कि तू इस तरह सो जा जैसे दुल्हन सोती है। यह ख़ास लोगों के लिए है। लेकिन अल्लाह चाहे तो आम मोमिनीन के लिए भी इसी तरह का आराम मिल सकता है। हाँ क़ब्र का फैलाव मर्तबों और दर्जों के लिहाज़ से अलग अलग है। कुछ ऐसे हैं जिनकी क़ब्रें सत्तर सत्तर हाथ लम्बी चौड़ी हो जाती हैं। कुछ ऐसे हैं कि उनकी क़ब्रें इससे भी ज़्यादा लम्बाई चौड़ाई में बढ़ा दी जाती हैं कि जहाँ तक उनकी निगाह पहुँचे और मोमिन गुनहगार पर उनके गुनाह के लाइक़ अ़ज़ाब भी होगा। फ़िर वह अल्लाह की रहमत,अपने बड़े बड़े पीरों मज़हबे इस्लाम के इमाम या अल्लाह के वलियों की शफ़ाअत से अगर अल्लाह चाहे तो नजात पायेंगे।

कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि गुनहागार मोमिन पर अ़जाबे क़ब्र जुमा की रात आने तक है। उस रात के आते ही अ़ज़ाब उठा लिया जायेगा। हाँ यह ह़दीस से साबित है कि जो मुसलमान जुमे की रात में जुमे के दिन या रमज़ान शरीफ़ के किसी दिन में या रात में मरेगा वह मुनकर नकीर के सवाल से और क़ब्र के अ़ज़ाब से बचा रहेगा।

मोमिन मुर्दे के लिए जन्नत की खिड़की इस तरह खुलेगी कि पहले उसके बायें हाथ की तरफ़ से जहन्नम की खिड़की खोली जाएगी जिससे आग की लपट,जलन,गर्म हवा और तेज़ बदबू आयेगी। फिर यह खिड़की फ़ौरन बन्द कर दी जायेगी और मुर्दे की दाहिनी तरफ़ से जन्नत की खिड़की खुलेगी और इस से कहा जायेगा कि अगर तू इन सवालों के ठीक जवाब न देता तो तेरे

वास्ते वह खिड़की थी लेकिन अब यह है कि ताकि वह अपने रब की नेमत की क़द्र जाने कि उसने कैसी बड़ी बला से उसे नजात दी और कैसी बड़ी नेमत उसे अ़ता की।

मुनाफ़िक़ के लिए इसका उलटा होगा कि पहले जन्नत की खिड़की खुलेगी ताकि मुनाफ़िक़ उसकी खुश्बू,उसकी ठन्डक,आराम और नेमत की झलक देख ले और फ़िर वह खिड़की फ़ौरन बन्द कर दी जायेगी और दोज़ख़ की खिड़की खोल दी जायेगी ताकि उस पर बड़ी बला भी हो और दिल से ईमान न लाने की हसरत भी बाक़ी रहे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को न मान कर या उनकी शान में गुस्ताख़ी करके कैसी दौलत खोई और कैसी आफ़त पाई।

मुनाफ़िक़ मुर्दा हर सवाल के जवाब में कहेगा।

هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِیْ

तर्जमा :– "अफ़सोस मुझे तो कुछ पता नहीं"। और यह भी कहेगा कि –

كُنْتُ اَسْمَعُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ شَيْأً فَاَقُوْلُ

तर्जमा :– "मैं लोगों को कुछ कहते सुनता था तो मैं भी कहता था।"

उस वक़्त ग़ैब से एक आवाज़ आयेगी कि यह झूटा है। इसके लिए आग का बिछौना बिछाओ,आग का लिबास पहनाओ और जहन्नम की तरफ़ दरवाज़ा खोल दो। फ़िरिश्ते खिड़की खोल देंगे। उसकी गर्मी और लपट पहुँचेगी और उस पर अ़ज़ाब देने के लिए दो फ़रिश्ते मुक़र्रर होंगे जो अंधे और बहरे होंगे। उन के साथ लोहे का ऐसा गुर्ज़ होगा कि अगर उसे पहाड़ पर भी मारा जाये तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाये। उस गुर्ज़ से मुनाफ़िक़ को वह फ़रिश्ते मारते रहेंगे। साँप और बिच्छू उसे डसते रहेंगे और उसके गुनाह कुत्ते या भेड़िये की शक्ल में ज़ाहिर हो कर उसे तकलीफ़ पहुँचायेंगे।

नेक लोगों के अच्छे अ़मल महबूब और अच्छी अच्छी सूरतों में ढलकर उनके दिल बहलायेंगे।

अ़क़ीदा :– क़ब्र के अ़ज़ाब और क़ब्र की नेमतें हक़ हैं यह दोनों चीजें जिस्म और रूह दोनों पर हैं जैसा कि ऊपर बताया गया। अगरचे जिस्म गल जाये जल जाये या खाक हो जाये मगर उसके अस़्ली टुकड़े क़ियामत तक बाक़ी रहेंगे और उन्हीं पर अ़ज़ाब या सवाब होगा और क़ियामत के दिन दोबारा इन्हीं पर जिस्म की बनावट होगी। यह अजज़ा टुकड़े 'अ़जबुज़्ज़नब'कहलाते हैं। यह इतने बारीक होते है कि न किसी खुर्दबीन से नज़र आ सकते हैं न उन्हें आग जला सकती है न ज़मीन उन्हें गला सकती है। यही जिस्म के बीज हैं। इसीलए क़ियामत के दिन रूहें अपने उसी जिस्म ही में लौटेंगी। किसी दूसरे ब्दन में नहीं। जिस्म के ऊपरी ह़िस्सों के बढ़ने घटने से जिस्म नहीं बदलता। जैसे कि बच्चा पैदा होता है तो छोटा होता है फ़िर बड़ा और हट्टा कट्टा जवान होता है फ़िर वही बीमारी में दुबला पतला हो जाता है और उस पर जब नया गोश्त पोस्त आता है तो वह फिर अपनी अस़्ली ह़ालत में आ जाता है। इन तबदीलियों से यह नहीं कहा जा सकता कि शख़्स बदल गया। ऐसे ही क़ियामत के दिन का लौटना है कि जिस्म के गोश्त और हड्डियाँ जो ख़ाक या राख हो गई हों और उनके ज़र्रे जहाँ कहीं भी फ़ैले हुए हों अल्लाह तबारक व तआ़ला उन्हें जमा कर के उसको पहली ह़ालत पर लायेगा। और वह अस़्ली अजज़ा जो पहले से महफ़ूज़ हैं उनसे जिस्म को मुरक्कब करेगा यानी बनायेगा और हर रूह को उसी पुराने जिस्म में भेजेगा। इसका नाम

हमे बड़ी मुसर्रत हो रही है कि अल्लाह त'आला और उसके हबीब सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम के हुक्म फ़ज़्ल-ओ-करम से और बुज़ुर्गाने दीन सिलसिला-ए-क़ादिरिया बिलख़ुसूस पिराने पीर दस्तगीर हुज़ूर ग़ौस-ए-आज़म शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रादिअल्लाहु त'आला अन्हू के फ़ैज़ से क़िताब बहार-ए-शरीअत (हिस्सा 01 से 10) हिंदी में पीडीएफ [PDF] में आप की खिदमत में पेश की जा रही है।

ज़माना-ए- क़दीम से अवमुन्नास की इस्लाहे हाल और हिदायते उख़रवी व दुनयवी के लिए हक़ सदाक़त के जाम की फ़राहमी की जाती रही हैं और ये इलतेज़ाम ख़ालिक़-ए-क़ायनात जल्ला जलालहु ने ब अहसान अपनी मख़लूक़ के लिए फ़रमाया है। अम्बिया व मुर्सलीन के बेहतरीन दौर के बाद उसने यह ख़िदमत अपने मुक़र्रबीन रिज़वानुल्लाह त'आला अलैहिम अजमईन के सुपुर्द की और यह सिलसिला अला हालही जारी व सारि है।

मज़हब-ए-इस्लाम अल्लाह त'आला का पसंदीदा दीन है । ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नही जिसके लिए इस्लाम ने हमे क़ानून न दिया हो ।

आज जिस दौर से हम गुज़र रहे है हमारा मुस्लिम तबका उर्दू की तरफ ध्यान नही दे रहा है और नई नस्ल तो बिल्कुल ही उर्दू से नावाक़िफ़ होती जा रही है । नतीजे के तौर पर दीनी और मज़हबी दिलचस्पियाँ कम हो रही है और हम अपने हाल को ग़ैर मुंज़बित तरीके पे छोड़े रहते है ।

लिहाज़ा ये किताब हिंदी में लिखी गई है और आप सब की आसानी के लिए हम ने इस किताब को पीडीएफ फ़ाइल में आप की ख़िदमत में पेश किया है।
आप सब से हमारी गुज़ारिश है कि अपनी मसरूफ ज़िन्दगी में से रोज़ाना वक़्त निकाल कर बुज़ुर्गो की तस्नीफ़ करदा किताबो को मुताला में रखें , इंशा अल्लाह त'आला दीन और दुनिया दोनो में मक़बूल होंगे।

दुआओं के तलबगार

वसीम अहमद रज़ा खान और साथी
+91-8109613336

'हश्र'है। क़ब्र के अज़ाब और सवाब का इन्कार करना गुमराही है।

अक़ीदा :– मुर्दा अगर क़ब्र में दफ़्न न किया जाये तो जहाँ पड़ा रह गया,फेंक दिया गया या जला दिया गया ग़रज़ कहीं भी हो उससे वहीं सवालात होंगे। यहाँ तक कि उसे शेर या और कोई दरिन्दा खा गया तो उस मुर्दे से पेट में ही सवालात किये जायेंगे और उसे वहीं सवाब या अज़ाब पहुँचेगा।

एक ज़रूरी बात

मसअला :– अल्लाह के वह ख़ास बन्दे जिनके बदन को मिट्टी नहीं खा सकती वह अम्बिया अलैहिमुस्सलाम औलियाए किराम दीन के आलिम कुर्आन शरीफ़ के हाफ़िज़ (जो कुरआन पर अमल करते हों)जिनको अल्लाह और उसके रसूल से महब्बत हो,वह जो अल्लाह के महबूब हों वह जिस्म जिसने कभी अल्लाह की नाफ़रमानी न की हो और वह लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ़ पढ़ते हैं उनके बदन सलामत रहते हैं।अगर कोई किसी नबी की शान में गुस्ताख़ी और बेअदबी की यह बात कहे कि–'मर के मिट्टी में मिल गये'तो वह गुमराह और बद्दीन है।

आख़िरत और हश्र का बयान

बेशक ज़मीन,आसमान जिन,इन्सान और फ़रिश्ते सब एक दिन फ़ना हो,जायेंगे सिर्फ़ अल्लाह तआला ही हमेशा से है और हमेशा रहेगा।

दुनिया के फ़ना होने से पहले कुछ निशानियाँ ज़ाहिर होंगी जैसे :–

(1)तीन ख़ुसूफ़ होंगे मतलब यह कि आदमी ज़मीन में धँस जायेंगे यह ख़ुसूफ़ पूरब में दूसरा पिश्चम में और तीसरा अरब के जज़ीरे में।

(2)दीन का इल्म उठ जायेगा मतलब आलिम उठा लिए आयेंगे। ऐसा भी नहीं कि आलिम बाक़ी रहें और उनके दिलों से इल्म मिट जाये और ख़त्म हो जाये।

(3)जिहालत बहुत बढ़ जायेगी मतलब दीन का इल्म रखने वाले बहुत कम हो जायेंगे।

(4)ज़िना की ज़्यादती होगी और बेहयाई और बेशर्मी इतनी बढ़ जायेंगी बड़े छोटे का अदब लिहाज़ ख़त्म हो जायेगा।

(5)मर्द कम होंगे और औरतें इतनी ज़्यादा होंगी कि एक मर्द की मातहती में पचास पचास औरतें होंगी।

(6)उस बड़े दज्जाल के अलावा तीस और दज्जाल होंगे और यह सब नुबुव्वत का दावा करेंगे जबकि नुबुव्वत ख़त्म हो चुकी है। उन नुबुव्वत के दावा करने वालों में से कुछ गुज़र चुके हैं जैसे मुसैलमा कज़्ज़ाब तलीहा इब्ने ख़ुवैलद असवद अंसी, सज्जाह(एक औरत जो बाद में इस्लाम ले आई)और गुलाम अहमद क़ादियानी के अलावा ज़ाहिर हेंगे।

(7)माल बहुत ज़्यादा हो जायेगा यहाँ तक कि फ़ुरात की नदी में से सोने के पहाड़ निकलेंगे।

(8)अरब जैसे मुल्क में खेती बाग़ और नहरें हो जायेंगी।

(9)दीन पर क़ाइम रहना इतना मुश्किल होगा जैसा कि मुठ्ठी में अंगारा लेना मुश्किल है। यहाँ तक कि नेक और शरीफ़ आदमी कब्रिस्तान में जाकर तमन्ना करेगा कि काश मैं इस क़ब्र में होता।

(10)वक़्त में बरकत न होगी यहाँ तक कि एक साल महीने की तरह महीना हफ़्ते की तरह हफ़्ता दिन की तरह और दिन ऐसा हो जायेगा कि जैसा किसी चीज़ को आग लगी और जल्दी ही

बुझ गई। यानी बहुत जल्दी जल्दी वक़्त गुज़रेगा।

(11)लोगों पर ज़कात देना भारी होगा लोग ज़कात को तावान जुर्माना समझेंगे

(12)कुछ लोग इल्मे दीन पढ़ेंगे लेकिन दीन के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिये।

(13)मर्द अपनी औरत का फ़रमाँबरदार होगा।

(14)औलादें अपने माँ बाप की नाफ़रमानी करेंगी।

(15)लड़के अपने दोस्तों से मेल जोल रखेंगे और माँ बाप से जुदा हो जायेंगे।

(16)लोग मस्जिदों में दुनिया की बेकार बातें करेंगे और चिल्लायेंगे ।

(17)गाने बजाने की ज़्यादती होगी

(18)लोग अगले लोगों पर ला़नत करेंगे। और उन्हें बुरा कहेंगे।

(19)दरिन्दे जानवर आदमी से बात करेंगे। कोड़े की फुंची और जूते के फ़ीते भी बात करेंगे। जब आदमी बाज़ार जायेगा तो जो कुछ उसके घर में हुआ होगा जूते के तस्मे उससे बतायेंगे। यहाँ तक कि इन्सान की रान भी इन्सान को ख़बर देगी।

(20)ज़लील और गंवार लोग जिनको तन का कपड़ा और पाँव की जूतियाँ नसीब न थी बड़े बड़े महलों में गुरूर के साथ रहेंगे।

(21) **दज्जाल का ज़ाहिर होना** :– दज्जाल चालीस दिन में (हरमैन शरीफ़ैन के अ़लावा) सारी दुनिया फिरेगा चालीस दिन में पहला दिन साल भर के बराबर होगा दूसरा दिन महीने भर के बराबर तीसरा दिन हफ़्ते के बराबर और बाक़ी दिन चौबीस घन्टे के होंगे दज्जाल आँधी तूफ़ान की तरह तेज़ी के साथ जैसे बादल को हवा उड़ाती हो सैर करेगा। उसका फ़ितना बहुत सख़्त होगा। उसके साथ एक आग होगी और एक बाग़ दज्जाल जहाँ जायेगा उसके साथ यह दोनों चीज़ें जायेंगी। आग को वह जहन्नम बतायेगा और बाग़ को जन्नत लेकिन जो देखने में आग होगी और जिसे जहन्नम समझा जायेगा वही हक़ीक़त में आराम की जगह होगी और जो देखने में बाग़ होगा वह हक़ीक़त में आग होगी

दज्जाल अपने आप को ख़ुदा कहेगा जो उस पर ईमान लायेगा और उसे ख़ुदा मान लेगा वह उसे अपनी जन्नत में डालेगा और जो उसे ख़ुदा मानने से इन्कार करेगा उसको वह अपने जहन्नम में डाल देगा दज्जाल मुर्दे जिलायेगा ज़मीन उसके हुक्म से सब्ज़े उगायेगी वह आसमान से पानी बरसायेगा लोगों के जानवर खूब लम्बे चौड़े तैयार और दूध वाले हो जायेंगे। और जब वह वीरान जंगलों में जायेगा तो शहद की मक्खियों की तरह दल के दल ज़मीन के खज़ाने उसके साथ हो जायेंगे इसी किस्म के वह बहुत से करतब और करिश्में दिखलायेगा लेकिन हक़ीक़त में कुछ भी न होगा यह सब जादू और शैतानों के करश्मि और तमाशे होंगे इसलिए दज्जाल के वहाँ से जाते ही लागों के पास कुछ न रहेगा। दज्जाल जब हरमैन शरीफ़ैन में जाना चाहेगा तो फ़रिश्ते उसका मुँह फेर देंगे। अलबत्ता मदीने शरीफ़ में तीन ज़लज़ले आयेंगे वहाँ के जो लोग ज़ाहिर में मुसलमान बने होंगे और दिल से काफ़िर होंगे और वह लोग जिनके बारे में अल्लाह जानता है कि वे दज्जाल पर ईमान लाकर काफ़िर होंगे वह सब लोग इन ज़लज़लों के डर से शहर छोड़कर भागेंगे और दज्जाल के फ़ितने का शिकार होंगे दज्जाल के साथ यहूदियों की फ़ौज होगी दज्जाल के माथे पर

काफ फे-रे यानी काफिर लिखा होगा यह लफ्ज़ सिर्फ मुसलमान ही पढ़ सकेंगे किसी काफिर को नज़र न आयेंगे।

दज्जाल जब सारी दुनिया मे फिर फिरा कर मुल्के शाम में पहुँचेगा तो उस वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से दमिश्क़ की जामे मसिज्द के पूर्वी मीनार पर सुब्ह के वक़्त ऐसे वक़्त पर उतरेंगे जब कि फज्र की नमाज़ के लिए तकबीर हो चुकी होगी हज़रते इमाम मेहदी भी उस जमाअत मे मौजूद होगे उन से हज़रते ईसा अलैहिस्सलाम इमामत के लिए कहेंगे हज़रते इमाम मेहदी रदियल्लाहु तआला अन्हु नमाज़ पढ़ायेंगे।

उधर दज्जाल का हाल यह होगा कि वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की साँस की खुश्बू से पिघलना शुरू होगा जैसे पानी में नमक घुलता है और साँस की खुश्बू दूर दूर तक फैलेगी। दज्जाल भागता फिरेगा और हज़रते ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करते हुए उसकी पीठ पर नेजा मारेंगे और उस जहन्नमी को मौत के घाट उतार देंगे।

(22) **हज़रते ईसा अलैहिस्सलाम का दौर** :– अब हज़रते ईसा अलैहिस्सलाम का दौर होगा। आपके ज़माने मे माल इतना ज़्यादा होगा कि अगर कोई किसी को कुछ देना चाहेगा तो वह लेने से इन्कार कर देगा।उस ज़माने में दुश्मनी,हसद और जलन नाम की कोई चीज़ न होगी। हज़रते ईसा अलैहिस्सलाम खिंज़ीर को मार डालेंगे और सलीब को तोड़ देंगे। तमाम अहले किताब मतलब तौरात,ज़बूर,इन्जील और कुर्आन शरीफ के मानने वाले जो दज्जाल के जुल्म से बच जायेंगे, वह हज़रते ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लायेंगे। सारी दुनिया में एक ही दीन इस्लाम और एक ही मज़हब मज़हबे अहल–ए–सुन्नत होगा बच्चे साँप से खेलेंगे। शेर और बकरी एक साथ नज़र आयेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चालीस साल तक रहेंगे। यह निकाह करेंगे और उनकी औलाद भी होगी। वफात के बाद रोज़ए अनवर में दफ़न होंगे।

(23) **हज़रते इमाम मेहदी का ज़ाहिर होना** :– हज़रते इमाम मेहदी रदियल्लाहु तआला अन्हु के ज़ाहिर होने का वाक़िआ यह है कि दुनिया में जब सब जगह से इस्लाम सिमट कर मक्के मदीने में पहुँच जायेगा। उस वक़्त सारे अबदाल और औलिया हिजरत कर के वहीं पहुँच जायेंगे। सारी ज़मीन कब्रिस्तान होगी। रमज़ान शरीफ का महीना होगा। अबदाल काबे का तवाफ़ करते होंगे।हज़रते इमाम मेहदी भी वहीं होंगे। औलिया उन्हें पहचान कर उनसे बैअत के लिए कहेंगे। वह इन्कार करेंगे। अचानक गैब से यह आवाज आयेगी कि

هٰذَا خَلِيْفَةُ اللّٰهِ الْمَهْدِىُّ فَاسْمَعُوْا لَهٗ وَ اَطِيْعُوْهُ

तर्जमा :– "यह अल्लाह के ख़लीफ़ा मेहदी हैं इनकी बात सुनो और इनका हुक्म मानो।"

तमाम लोग उनके हाथों पर बैअत करेंगे और वहाँ से सब को अपने साथ लेकर मुल्के शाम को तशरीफ ले जायेंगे दज्जाल के क़त्ल के बाद अल्लाह तआला का हज़रते ईसा अलैहिस्सलाम के लिए हुक्म होगा कि मुसलमानों को कोहे तूर (एक पहाड़ का नाम)पर ले आओ। इसलिए कि कुछ ऐसे लोग ज़ाहिर होंगे जिनसे लड़ने की किसी में ताक़त न होगी।

(24) **याजूज माजूज का निकलना** :– जब हज़रते ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से

मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जायेंगे तो याजूज माजूज निकलेंगे यह इतने ज़्यादा होंगे कि दस मील की एक नदी या झील 'बूहैरये तबरीय्या' पर से जब उनकी पहली जमाअत गुज़रेगी तो जमाअत के लोग उस नदी या झील का पानी पीकर इस तरह सुखा देंगे कि बाद में आने वाली दूसरी जमाअत यह कहेगी कि यहाँ कभी पानी था।

यह याजूज माजूज जब दुनिया में क़त्ल और ग़ारत से फ़ुरसत पायेंगे तो कहेंगे कि ज़मीन वालों को तो क़त्ल कर चुके अब आसमान वालों को भी क़त्ल किया जाये। यह कह कर वे अपने तीर आसमान की तरफ़ फेकेंगे। अल्लाह की क़ुदरत से उनके तीर खून में लिथड़े हुए गिरेंगे यह अपनी इन्ही हरकतों में मशग़ूल होंगे और वहाँ पहाड़ पर हज़रते ईसा अ़लैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ घिरे हुए होंगे। यहाँ तक कि उन के नज़्दीक़ गाय के सर की वह हैसियत होगी जो आज तुम्हारे नज़्दीक सौ अशरफ़ियों की नहीं उस वक़्त हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ दुआ फ़रमायेंगे अल्लाह तआ़ला उन की गर्दनों में कोड़े पैदा कर देगा कि एक दम में वह सब मर जायेंगे याजूज माजूज के मरने के बाद जब पहाड़ से उतरेंगे तो सारी ज़मीन पर उन्हें याजूज माजूज की सड़ी हुई इतनी लाशें मिलेंगी कि एक बालिश्त ज़मीन भी ख़ाली नहीं मिलेगी। फिर हज़रते ईसा अ़लैहिस्सलाम और उनके साथियों की दुआओं से अल्लाह तआ़ला कुछ परिन्दे भेज देगा जो उन की लाशों को जहाँ अल्लाह चाहेगा फेंक आयेंगे और उन के तीर व कमान व तर्कश को मुसलमान सात साल तक जलायेंगे। फिर ऐसी बारिश होगी कि ज़मीन को हमवार कर छोड़ेगी जिस से फल पैदा होंगे अल्लाह के हुक्म से ज़मीन और आसमान से इतनी बरकत नाज़िल होगी कि एक अनार से जमाअ़त का पेट भर जायेगा और उसके छिलके के साये में दस आदमी बैठ सकेंगे दूध में इतनी बरकत होगी कि एक ऊँटनी का दूध एक जमाअ़त कि लिए एक गाय का दूध क़बीले के लिए और एक बकरी का दूध एक ख़ानदान के लिए काफ़ी होगा

(25) उसके बाद एक ऐसा वक़्त आयेगा कि अल्लाह के हुक्म से ऐसा धुआँ ज़ाहिर होगा कि ज़मीन से आसमान तक अँधेरा ही अँधेरा होगा

(26) **दाब्बतुल अर्द का निकलना** :– दाब्बतुल अर्द एक ऐसा जानवर होगा जिसके हाथ में हज़रते मूसा अ़लैहिस्सलाम का अ़सा(लाठी)और हज़रते सुलैमान अ़लैहिस्सलाम की अँगूठी होगी वह उस अ़से से हर मुसलमान की पेशनी पर एक नूरानी निशान बनायेगा और अँगूठी से हर काफ़िर के माथे पर एक बहुत काला धब्बा बनायेगा उस वक़्त सारे मुसलमान और काफ़िर साफ़ ज़ाहिर होंगे मुसलमानों और काफ़िरों की यह निशानियाँ कभी न बदलेंगी। जो काफ़िर है वह कभी ईमान न लायेगा और जो मोमिन है हमेशा ईमान पर क़ाइम रहेगा।

(27) **सूरज का पश्चिम से निकलना** :– इस निशानी के ज़ाहिर होते ही तौबा का दरवाज़ा बन्द हो जायेगा। अगर उस वक़्त कोई इस्लाम क़बूल करना चाहे तो उस का इस्लाम क़बूल नहीं किया जायेगा।

(28) हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम की वफ़ात के एक ज़माने के बाद जब क़ियामत क़ायम होने को सिर्फ़ चालीस साल बाक़ी रह जायेंगे तो एक ख़ुश्बूदार ठंडी हवा चलेगी जो लोगों की बग़लों से

गुज़रेगी जिसका नतीजा यह होगा कि मुसलमानों की रूह कब्ज़ हो जायेगी और काफ़िर ही काफ़िर रह जायेंगे और उन्ही पर कयामत काइम होगी। यह कुछ निशानियाँ थीं जो बयान की गईं इनमें से कुछ तो ज़ाहिर हो चुकीं और कुछ बाकी हैं। जब सारी निशानियाँ पूरी हो जायेंगी और मुसलमानों की बग़लों के बीच से वह खुश्बूदार हवा गुज़र लेगी जिस से सारे मुलसमान वफ़ात पायेंगे तो उसके बाद फ़िर चालीस साल का ज़माना ऐसा गुज़रेगा कि उसमें किसी की औलाद न होगी। मतलब यह कि चालीस साल से कम उम्र का कोई न होगा। वह एक ऐसा वक़्त होगा कि हर तरफ़ काफ़िर ही काफ़िर होंगे और अल्लाह कहने वाला कोई न होगा।

लोग अपने अपने कामों में लगे होंगे कि अचानक हज़रते इस्राफ़ील अलैहिस्सलाम सूर फूँकेंगे। पहले पहले उसकी आवाज़ बहुत धीमी होगी फ़िर धीरे धीरे बहुत ऊँची हो जायेगी। लोग कान लगा कर उसकी आवाज़ सुनेंगे और बेहोश होकर गिरेंगे और फ़िर मर जायेंगे। आसमान,ज़मीन पहाड़,चाँद सूरज,सितारे सूर,इस्राफ़ील और तमाम फ़रिश्ते फ़ना हो जायेंगे।उस वक़्त सिवा उस खुदाये ज़ुलजलाल के कोई न होगा। उस वक़्त वह पूरे जलाल के साथ फ़रमायेगा। कि :–

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ तर्जमा :– आज किस की बादशाहत है। कहाँ हैं वह जाबिर और कहाँ है मुतकब्बिर मगर है कौन जो जवाब दे फिर खुद ही फ़रमायेगा कि–

لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ तर्जमा :– "सिर्फ़ अल्लाह वाहिद क़ह्हार की सलतनत है" फिर जब अल्लाह तआला चाहेगा इस्राफ़ील अलैहिस्सलाम ज़िन्दा किये जायेंगे और सूर को पैदा करके दोबारा फुँकने का हुक्म देगा। सूर फूँकते ही तमाम पहले और बाद वाले इन्सान, जिन्नात हैवानात फ़रिश्ते मौजूद हो जायेंगे।

सबसे पहले नबियों के सरदार,अल्लाह के महबूब,हम सब के आका व मौला हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी क़ब्रे मुबारक से इस शान से निकलेंगे कि उनके दाहिने हाथ में पहले ख़लीफ़ा हज़रते अबूबक का हाथ और बायें हाथ में दूसरे ख़लीफ़ा हज़रते उमर फ़ारूक रदियल्लाहु अन्हुमा का हाथ होगा। फ़िर मक्का शरीफ़ और मदीना शरीफ़ की क़ब्रों में जितने भी मुसलमान दफ़न हैं सबको अपने साथ लेकर हश्र के मैदान में तशरीफ़ ले जायेंगे।

अक़ीदा :– कयामत बेशक क़ाइम होगी और इसका इन्कार करने वाला काफ़िर है।

अक़ीदा :– हश्र सिर्फ़ रूह का ही नहीं होगा बल्कि रूह और जिस्म दोनों का होगा। अगर कोई यह कहे कि रूहें उठेंगी और जिस्म ज़िन्दा नहीं होंगे तो वह भी गुमराह और बद्दीन है। दुनिया में जो रूह जिस जिस्म के साथ थी उस रूह का हश्र उसी जिस्म के साथ होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई नया जिस्म पैदा कर के उसके साथ रूह लगा दी जाये।

अक़ीदा : – जिस्म के टुकड़े अगरचे मरने के बाद अलग अलग हो गये हों या उन्हें जानवर खा गये हों अल्लाह तआला जिस्म के उन तमाम टुकड़ों को इकट्ठा कर के क़ियामत के दिन उठायेगा।

क़ियामत के दिन लोग अपनी अपनी क़ब्रों से नंगे बदन नंगे पाँव उठेंगे और वह लोग ऐसे होंगे कि उनकी ख़तना न हुई होगी। कोई सवार होगा कोई पैदल। कुछ अकेले सवार होंगे और किसी सवारी पर दो किसी पर तीन किसी पर चार और किसी पर दस सवार होंगे। काफ़िर मुँह के बल

चलते चलते मैदाने हश्र में जायेंगे। किसी को फ़रिश्ते घसीट कर ले जायेंगे। किसी को आग घेर कर लायेगी। यह हश्र का मैदान मुल्के शाम की ज़मीन पर क़ाइम होगा। ज़मीन ताँबे की होगी और इतनी चिकनी और बराबर होगी कि एक किनारे पर राई का दाना गिर जाये ते दूसरे किनारे से साफ़ दिखाई देगा। उस दिन सूरज एक मील की दूरी पर होगा। इस हदीस के रिवायत करने वाले कहते हैं कि पता नहीं मील का मतलब सुर्मे की सलाई है या रास्ते की दूरी है।अगर रास्ते की दूरी भी मान ली जाये तो भी सूरज बहुत क़रीब होगा। क्यों कि अब सूरज की दूरी चार हज़ार साल सफ़र की दूरी है और हमारी दुनिया की तरफ़ सूरज की पीठ है तो फिर भी जब सूरज सामने आ जाता है तो घर से निकलना दूभर हो जाता है लेकिन जब सूरज एक मील की दूरी पर होगा और सूरज का मुँह हमारी तरफ़, होगा तो आग और गर्मी का क्या हाल होगा। और अब तो मिट्टी की ज़मीन है तो पैरों में छाले पड़ते हैं तो उस वक़्त जब ताँबे की ज़मीन होगी और सूरज क़रीब होगा। तो उस गर्मी का कौन अन्दाज़ा कर सकता है। अल्लाह पनाह में रखे।

उस वक़्त हाल यह होगा कि सर के भेजे खौलते होंगे और इतना ज़्यादा पसीना निकलेगा कि पसीने को ज़मीन सत्तर गज़ तक सोख लेगी। फ़िर जो पसीना ज़मीन न पी सकेगी वह पसीना ज़मीन के ऊपर चढ़ते चढ़ते किसी के टख़नों,किसी के घुटनों,किसी की कमर,किसी के सीने और किसी के गले तक पहुँच जायेगा और काफ़िर के मुँह तक पहुँच कर लगाम की तरह जकड़ लेगा जिस में वह डुबकियाँ खायेगा।

इस गर्मी में प्यास का यह हाल होगा कि ज़ुबानें सूख कर काँटा हो जायेंगी। और मुँह से बाहर निकल आयेंगी। दिल उबल कर गले को आ जायेंगे। हर एक को उसके गुनाह के मुताबिक सज़ा मिलेगी। जिसने चाँदी सोने की ज़कात न दी होगी उस माल को गर्म कर के उसकी करवट,पेशानी और पीठ पर दाग़ दिया जायेगा। जिसने जानवर की ज़कात न दी होगी उसके जानवर क़ियामत के दिन खूब मोटे ताज़े होकर आयेंगे और उस आदमी को वहाँ लिटा कर वह जानवर अपने सींग से मारते और अपने पैरों से रौंदते हुए उस पर से उस वक़्त तक गुज़रते रहेंगे जब तक कि लोगों का हिसाब ख़त्म हो।

इसी तरह और दूसरी सज़ायें होंगी। फ़िर यह कि इन मुसीबतों में कोई एक दूसरे का पूछने वाला न होगा भाई से भाई भागता दिखाई देगा। माँ बाप औलाद से पीछा छुड़ायेंगे अलग बीवी बच्चे अलग जान चुरायेंगे। हर एक अपनी मुसीबत में गिरफ़्तार होगा। कोई किसी का मददगार न होगा।

उस वक़्त हज़रते आदम अ़लैहिसलाम को हुक्म होगा कि वह दोज़ख़ियों की जमाअ़त अलग करें। वह पूछेंगे कि कितने में से कितनों को अलग करूँ? अल्लाह फ़रमायेगा कि हर हज़ार से नौ सौ निन्नानवे।

यह वह वक़्त होगा कि बच्चे ग़म के मारे बूढ़े हो जायेंगे। हमल वाली औ़रत का हमल गिर जायेगा। लोग ऐसे दिखाई देंगे कि जैसे नशे में हों हालाँकि नशा में न होंगे। अल्लाह तआ़ला का अ़ज़ाब बहुत सख़्त होगा। और लोगों को हज़ारों मुसीबतों का सामना होगा। और यह मुसीबतें दो चार दिन या दो चार महीनों की नहीं होंगी। बल्कि क़ियामत का दिन पचास हज़ार बरस का होगा।

हश्र के आधे दिन तक लोग इसी तरह मुसीबतों में रहते हुये अपने लिए किसी सिफ़ारिशी की तलाश करेंगे कि वह खुदाये जुलजलाल के सामने उनकी शफ़ाअत कर सके।

मुसीबत के मारे लोग गिरते पड़ते हज़रते आदम अ़लैहिस्सलाम के पास पहुँचेंगे और फ़रियाद करेंगे कि ऐ आदम। आप अबुल बशर (आदमी के बाप) हैं। अल्लाह तआ़ला ने अपको अपने दस्ते कुदरत से बनाया है। आप में अपनी चुनी हुई रूह डाली है। फ़रिश्तों से आप को सजदा कराया। जन्नत में आपको रख कर तामम चीज़ों के नाम सिखाये। अल्लाह ने आपको स़फ़ी (दोस्त चुना हुआ और खा़लिस़) बनाया आप देखते नहीं कि हम कितनी मुसीबतों में हैं आप हमारी शफ़ाअ़त कीजिए कि अल्लाह तआ़ला हमें इस से नजात दे। हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम फ़रमायेंगे कि मेरा यह मरतबा नहीं मुझे आज अपनी जान की फ़िक्र हैं आज अल्लाह ने अपना ऐसा ग़ज़ब और जलाल ज़ाहिर किया है कि न तो ऐसा कभी हुआ और न कभी होगा तुम किसी और के पास जाओ। लोग पूछेंगे कि आप ही बतायें कि हम किस के पास जायें वह कहेंगे कि तुम हज़रते नूह़ के पास जाओ क्यूँकि वह पहले रसूल हैं कि ज़मीन पर हिदायत के लिए भेजे गये लोग रोते पीटते मुसीबत के मारे हज़रते नूह़ अ़लैहिस्सलाम पास पहुँचेंगे और उन से उन की फ़ज़ीलतें बयान कर के अपनी शफ़ाअ़त के लिए फ़रियाद करेंगे कि आप अपने पालनहार से हमारी शफ़ाअ़त कर दीजिये कि वह हमारा फ़ैसला दे लेकिन वह भी यही जवाब देंगे कि मैं इस लाइक़ नहीं मुझे अपनी पड़ी है तुम किसी और के पास जाओ और उनके बताने से मुसीबत के मारे लोग हज़रते इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के पास जायेंगे जिन्हें अल्लाह ने ख़लील होने का शरफ़ बख़्शा वहाँ भी यही जवाब मिलेगा तो लोग हज़रते मूसा अ़लैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के पास जायेंगे। हज़रते ईसा अ़लैहिस्सलाम इरशाद फ़रमायेंगे कि तुम उनके पास जाओ जो शफ़ाअ़त का दरवाज़ा खोलेंगे जिन्हें कोई ख़ौफ़ नहीं जो तमाम आदम की औलाद के सरदार हैं और वही ख़ातमुन्नबीय्यीन हैं।

अब लोग फिरते फिराते ठोकरें खाते रोते चिल्लाते और दुहाई देते उस बेकस पनाह के दरबार में हाज़िर होंगे जो अल्लाह के महबूब हज़रत मुह़म्मद स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लै वसल्लम हैं। सरकार की बहुत सी फ़ज़ीलतें बयान कर के कहेंगे कि सरकार देखिये तो हम कितनी मुसीबतों में हैं आप अल्लाह के दरबार में हमारी शफ़ाअ़त कर दीजिये, हमको इस मुसीबत से नजात दिलवाईये। सरकार मुसीबत के मारों की फरियाद सुनेंगे और फ़रमायेंगे कि :–

اَنَا لَهَا तर्जमा :– "मैं इस क़ाम के लिये हूँ"

اَنَا صَاحِبُكُمْ तर्जमा :– "मैं ही वह हूँ जिसे तुम तमाम जगह ढूँढ आये हो।"

यह कह कर हुज़ूर अल्लाह के दरबार में जायेंगे और सजदा करेंगे। अल्लाह तआ़ला इरशाद फ़रमायेगा। कि –

يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ

तर्जमा :– "ऐ मुहम्मद अपना सर उठाईये और कहिये आपकी बात सुनी जायेगी और आप जो कुछ माँगेंगे दिया जायेगा और शफ़ाअ़त कीजिये आप की शफ़ाअ़त मक़बूल है"।

और एक दूसरी रिवायत में यह भी है कि –

وَقُلْ تُطَعْ

तर्जमा :– आप फ़रमा दीजिये कि आपकी इताअ़त की जायेगी।

फिर तो शफ़ाअ़त का सिलसिला शुरू हो जायेगा यहाँ तक कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा उसे भी शफ़ाअ़त कर के जहन्नम से निकालेंगे। और जो सच्चे दिल से मुसलमान हो और उसका कोई नेक अ़मल न हो उसे भी दोज़ख़ से निकालेंगे।

फिर तमाम नबी अपनी अपनी उम्मतों के लिए शफ़ाअ़त करेंगे। फिर वली,शहीद, आ़लिम, हाफ़िज़ और हाजी लोग शफ़ाअ़त करेंगे बल्कि हर वह आदमी अपने अपने रिश्तेदारों की शफ़ाअ़त करेगा जिसको कोई दीनी दर्जा या मरतबा अ़ता किया गया हो नाबालिग़ बच्चे जो मर गये है अपनी बाप माँ की शफ़ाअ़त करेंगे यहाँ तक कि कुछ लोग आ़लिमों के पास जाकर कहेंगे कि हमने आप के लिए एक वक़्त वुज़ू के लिये पानी दिया था। कोई कहेगा कि हमने आपको इस्तिन्जे के लिये ढेले दिये थे तो आ़लिम उनकी भी शफ़ाअ़त करेंगे।

अ़क़ीदा :– हिसाब किताब हक़ है और हर अच्छे बुरे कामों का हिसाब होगा।

अ़क़ीदा :– जो हिसाब का इन्कार करे वह काफ़िर है किसी से इस तरह हिसाब लिया जायेगा कि उससे चुपके से पूछा जायेगा कि तूने यह किया और यह किया। अ़र्ज़ करेगा ऐ रब यहाँ तक कि तमाम गुनाहों का इक़रार लेलेगा अब यह अपने दिन में समझेगा कि अब गये फ़रमायेगा कि हम ने दुनिया में तेरे ऐब छुपाये और अब बख़्शते हैं और किसी से सख़्ती के साथ एक एक बात पूछी जायेगी। जिससे इस तरह सवाल होगा उसकी हलाकत सामने है।

अल्लाह तआ़ला किसी से पुछेगा कि ऐ फ़ुलाने क्या मैंने तुझे इज़्ज़त न दी क्या तुझे सरदार न बनाया?और क्या तुझे घोड़े ऊँट वग़ैरा का मालिक न बनाया?और जो कुछ भी उसे अ़ता किया गया होगा वह सब उसे याद दिलाया जायेगा। वह सब का इक़रार करेगा। फ़िर अल्लाह पूछेगा कि क्या तुझे मुझ से मिलने का ध्यान था?वह कहेगा कि नहीं। तब अल्लाह फ़रमायेगा कि जब तूने मुझे भुला दिया तो हम भी तुझे अ़ज़ाब में डालते हैं।

कुछ काफ़िर ऐसे भी होंगे कि जब अल्लाह तआ़ला अपनी दी हुई दौलतों को उन्हें याद दिला कर उनसे पूछेगा कि तुमने क्या किया ?

तो वह जवाब देंगे कि हम तेरे हुक्म को मानते हुए तुझ पर तेरी बिताबों और तेरे रसूलों पर ईमान लाये। नमाज़ें पढ़ीं,रोज़े रखे,सदक़े दिये और बहुत से नेक कामों की फ़ेहरिस्त खुदा के सामने पेश करेंगे। अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा। अच्छा रूको तुम पर गवाह पेश होंगे। काफ़िर अपने जी में सोचेगा कि कौन गवाही देगा। लेकिन अल्लाह के हुक्म से उनके मुँह पर ताले पड़ जायेंगे और उनके जिस्म और बदन के हर हिस्से को हुक्म होगा कि बोल चलो। उस वक़्त उनकी रान,हाथ पाँव,गोश्त,पोस्त,हड्डियाँ वग़ैरा सब गवाही देंगे और उनके सारे बुरे करतूत अल्लाह के सामने पेश करेंगे। अल्लाह उन्हें जहन्नम में डाल देगा।

हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि मेरी उम्मत से सत्तर हज़ार बे हिसाब जन्नत में दाख़िल होंगे। और उनके तुफ़ैल वसीले से हर एक के साथ सत्तर हज़ार। और अल्लाह तआला तीन जमाअतें और देगा। जिनकी गिनती के बारे में वही जाने।

तहज्जुद पढ़ने वाले बिना हिसाब जन्नत में जायेंगे हुज़ूर की उम्मत में ऐसा आदमी भी होगा कि जिनके निन्नानवे के दफ़्तर गुनाहों होंगे और हर दफ़्तर इतना होगा जहाँ तक निगाह पहुँचे और वह सब दफ़रत खोले जायेंगे। फिर अल्लाह पूछेगा कि इनमें से तुम्हें किसी बात का इन्कार तो नहीं है ? मेरे फ़रिश्ते'किरामन कातिबीन'ने तुम पर ज़ुल्म करते हुए ग़लत बातें तो नहीं लिख दीं? या तेरे पास कोई बहाना तो नहीं ? तो वह अपने रब के सामने अपने गुनाहों को तस्लीम करेगा। अल्लाह तआला फ़रमायेगा कि हाँ तेरी एक नेकी हमारे सामने है और उसी की वजह से आज तुझे नजात मिलेगी। फिर एक पर्चा निकाला जायेगा जिस पर लिखा होगा कि–

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ

तर्जमा :– "मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लाइक़ नहीं और बेशक मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके बन्दे और उसके रसूल हैं।"

और अल्लाह उसे हुक्म देगा कि जाओ मीज़ान पर उन दफ़्तरों के सामने इस पर्चे को रख कर तौल करा लो। वह कहेगा कि या अल्लाह उन दफ्तरों के सामने यह पर्चा क्या हक़ीक़त रखता है। अल्लाह फ़रमायेगा कि तेरे साथ इन्साफ़ किया जायेगा। फिर एक पल्ले पर वह सब दफ़्तर रखे जायेंगे और एक में वह पर्चा अल्लाह की मर्ज़ी से वह पर्चे वाला पल्ला दफ़्तरों से भारी हो जायेगा। यह उसकी रहमत है और उसकी रहमत की कोई थाह नहीं। वह रहम फ़रमाए तो थोड़ी चीज़ भी बहुत है।

अक़ीदा :– क़ियामत के दिन हर एक को उसका 'आमालनामा'दिया जायेगा। जो नेक होंगे उनके दाहिने और जो गुनाहगार होंगे उनके बायें हाथ में और जो काफ़िर होंगे उनका सीना तोड़ कर उनका बायाँ हाथ पीछे निकाल कर पीठ के पीछे दिया जायेगा।

अक़ीदा :– हक़ बात यह है कि 'हौज़े कौसर'हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दिया गया है। उस हौज़ की लम्बाई चौड़ाई इतनी है कि जैसे एक महीने का रास्ता हो। इस महीने के बारे में नहीं बताया जा सकता कि महीने का मतलब क्या है। हौज़ के किनारे पर मोती के कुब्बे हैं। उसकी मिट्टी बहुत खुशबूदार मुश्क की है। उसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है। उस पर बरतन इतने ज़्यादा हैं कि जैसे सितारे अनगिनत होते हैं। उसमें सोने और चाँदी के दो जन्नती परनाले हर वक़्त गिरते रहते हैं।

अक़ीदा :– मीज़ान हक़ है उस पर लोगों के अच्छे बुरे आमाल तौले जायेंगे। दुनिया में पल्ला भारी होने का मतलब यह होता है कि नीचे को पल्ला झुकता है।लेकिन वहाँ उस का उल्टा होगा और जिसका पल्ला भारी होगा ऊपर को उठ जायेगा।

अक़ीदा :– हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तआला मक़ामे महमूद अता

फ़रमाएगा उसका मतलब यह है कि तमाम अगले पिछले हुज़ूर की हम्द(तारीफ़)करेंगे।

अक़ीदा :– हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहिवसल्लम को एक ऐसा झंडा दिया जायेगा जिसको 'लिवाउल हम्द कहते हैं। उस झंडे के नीचे हज़रते आदम अ़लैहिस्सलाम से लेकर आख़िर तक के सारे मोमिन इकट्ठा होंगे।

अक़ीदा :– पुल सिरात हक़ है। यह एक ऐसा पुल है जो जहन्नम के ऊपर लगाया जायेगा। बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा जन्नत में जाने का यही रास्ता है। सब से पहले हमारे हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम गुज़रेंगे फिर दूसरे नबी व रसूल। उसके बाद हुज़ूर की उम्मत और फ़िर दुसरी उम्मतें गुज़रेंगी। लोगों के जैसे अच्छे या बुरे काम होंगे उसी तरह पुल सिरात के पार करने के ढंग भी होंगे। बाज़ तो ऐसी तेज़ी के साथ गुज़रेंगे जैसे बिजली का कौंदा कि अभी चमका और अभी ग़ायब हो गया और बाज़ तेज हवा की तरह कोई ऐसे जैसे कोई परिन्द उड़ता है और कुछ जैसे घोड़ा दौड़ता है और बाज़ जैसे आदमी दौड़ता है यहाँ तक कि बाज़ चूतड़ों के बल घिसटते हुये और कुछ चींटी की तरह रेंगते हुये पुल सिरात को पार करेंगे। पुलसिरात के दोनों तरफ़ बड़े बड़े आंकड़े लटकते होंगे। अल्लाह ही जाने वह कितने बड़े होंगे जिसके बारे में अल्लाह का हुक्म होगा उसे पकड़ लेंगे।इनमें से कुछ ज़ख्मी होकर बच जायेंगे। और कुछ जहन्नम में गिराये जायेंगे और हलाक होंगे।

इधर तमाम महशर वाले तो पुल पार करने में लगे होंगे मगर वह बे गुनाह गुनाह गारों का शफ़ीअ़ पुल के किनारे खड़ा हुआ अपनी उम्मत के गुनाहगारों के लिए गिरया–ओ–जारी कर के यह दुआ कर रहा होगा।

رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ

तर्जमा :– "इलाही इन गुनाहगारों को बचा ले बचा ले।"

उस दिन हुज़ूर किसी एक ही जगह पर नहीं ठहरेंगे बल्कि कभी मीज़ान पर होंगे और जिसकी नेकियों में कमी देखेंगे उसकी शफ़ाअ़त करके उसे नजात दिलायेंगे। कभी हौज़े कौसर पर प्यासों को सैराब करते हुये नज़र आयेंगे और आन की आन में फ़िर पुल पर। ग़रज़ हर जगह उन्हीं की पहुँच होगी। हर एक उन्हीं की दुहाई देगा। उन्हीं से फ़रियाद करता होगा और उनके सिवा पुकारा भी किसको जा सकता है क्यों कि हर एक को अपनी पड़ी होगी। सिर्फ़ सरकार ही की ज़ात ऐसी है कि जिन्हें अपनी कोई फ़िक्र नहीं बल्कि सारे आलम का बोझ उन्हीं पर है। दुरूद हो उन पर :–

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ بَارَكَ وَ سَلَّمَ اَللّٰهُمَّ نَجِّنَا مِنْ اَهْوَالِ الْمَحْشَرِ بِجَاهِ هٰذَا النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ وَ التَّسْلِيْمِ اٰمِيْنَ.

तर्जमा :– "अल्लाह तआ़ल उन पर रहमत नाज़िल फ़रमाये और उनकी औलाद और उनके असहाब पर। (उन्हें) बरकत और सलामती दे। ऐ अल्लाह! हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के वसीले से हमको हश्र की मुसीबतों से नजात दे। और उन पर उनकी औलाद और उनके असहाब पर अफ़ज़ल दुरूद और सलाम,और रहमत नाज़िल कर,आमीन।

यह क़ियामत का दिन पचास हज़ार साल का दिन होगा जिस की मुसीबतें अनगिनत होंगी।

लेकिन जो अल्लाह के ख़ास बन्दे हैं उनके लिए क़ियामत का दिन इतना हल्का कर दिया जायेगा कि जितनी देर में आदमी फ़र्ज़ की नमाज़ पढ़ ले उतनी ही देर का दिन मालूम होगा। कुछ लोगों के लिए पलक झपकते ही सारा दिन ख़त्म हो जायेगा। जैसा कि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि–

وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ

तर्जमा :– क़ियामत का मुआ़मला नहीं मगर जैसे पलक झपकना बल्कि उससे भी कम।" य़ानी अल्लाह के ख़ास बन्दों के लिए क़ियामत का दिन पलक झपकने के बराबर या उससे भी कम है।

सब से बड़ी नेमत जो मुसलमानों को उस रोज़ मिलेगी वह अल्लाह का दीदार होगा क्योंकि अल्लाह तआ़ला का दीदार हर दौलत से बड़ी दौलत है जिसे एक बार उस की ज्यारत नसीब होगी वह उसकी लज़्ज़त को कभी नहीं भूल सकता। और सब से पहले अल्लाह का दीदार दोनों जहान के सरदार हुज़ूर अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को होगा।

अब तक तो ह़श्र के मुख़्तसर ह़ालात बताये गये। और उन तमाम कामों के ब़ाद हमेशा के लिए जन्नत या जहन्नम ठिकाना होगा। किसी क़ो आराम का घर मिलेगा जिस में आराम की कोई थाह नहीं ,उस आराम के घर को जन्नत कहते हैं। और किसी को तकलीफ़ के घर में जाना होगा जिसे जहन्नम कहते हैं। यह जन्नत और दोज़ख़ ह़क़ हैं। इनका इन्कार करने वाला काफ़िर है।

अक़ीदा :– अल्लाह तआ़ला ने जन्नत और दोज़ख़ को हज़ारों साल से भी पहले पैदा किया। और जन्नत और दोज़ख़ आज भी मौजूद हैं। ऐसा अक़ीदा रखना कि क़ियामत से पहले या क़ियामत के दिन जन्नत और दोज़ख़ बनाये जायेंगे गुमराही और बद्दीनी है।

अक़ीदा :– क़ियामत, बअ़्स य़ानी मौत के ब़ाद ज़िन्दा होना,ह़श्र,ह़िसाब सवाब,अ़ज़ाब,जन्नत और दोज़ख़ सब का वही मत़लब है जो मुसलमानों में मशहूर है। कुछ लोगों ने कुछ नये मत़लब गढ़ लिये हैं जैसे सवाब का मत़लब अपनी अच्छाईयों को देखकर खुश होना। अ़ज़ाब का मत़लब अपने बुरे कामों को देखकर ग़मगीन होना। या सिर्फ़ रूहों का ह़श्र समझना बहुत बड़ी गुमराही और बद्दीनी है।

अब मुख़्तसर तौर पर जन्नत और दोज़ख़ का हाल लिखा जा रहा है।

जन्नत का बयान

जन्नत एक मकान है जिसे अल्लाह तआ़ला ने ईमान वालों के लिये बनाया है उसमें ऐसी ऐसी नेमतें रखी गई हैं जिनको न आँखों ने देखा न कानों ने सुना और न कोई उन नेमतों का गुमान कर सकता है य़ानी बे देखे वर्ना देख कर तो आप ही जानेंगे, तो जिन्होंने दुनियावी ह़यात की हालत में मुशाहदा किया वह इस हुक्म से अलग हैं ख़ास हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम इसलिए जन्नत की कोई मिसाल दी ही नहीं जा सकती क्योंकि क़ाबा शरीफ़ जन्नत से आ़ला है और हुज़ूरे अनवर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की तुर्बत तो क़ाबा बल्कि अ़र्श से भी अफ़ज़ल है मगर यह दुनिया की चीज़ें नहीं। हाँ जिन्होंने अल्लाह के करम से अपनी दुनियावी ज़िन्दगी में जन्नत को देखा है वह जानते हैं कि जन्नत में क्या क्या चीज़ें हैं और उसमें कितना आराम है।

जन्नत की कोई औ़रत अगर ज़मीन की त़रफ़ देख ले तो ज़मीन से आसमान तक रौशन हो जाये,चाँद सूरज की रौशनी मंद पड़ जाये और पूरी दुनिया उसकी ख़ुश्बू से भर जाये। एक रिवायत

में यह भी है कि अगर हूर अपनी हथेली ज़मीन और आसमान के बीच निकाले तो सिर्फ हथेली की खुबसूरती को देख कर लोग फ़ितने में पड़ जायेंगे। अगर जन्नत की कोई ज़र्रा बराबर भी चीज़ दुनिया में आ जाये तो आसमान ज़मीन सब में सजावट पैदा हो जाये। जन्नती का कंगन चाँद सूरज और तारों को मांद कर दे। जन्नत की थोड़ी सी जगह जिस में कूड़ा रख सकें वह पूरी दुनिया से बेहतर है। जन्नत की लम्बाई चौड़ाई के बारे में किसी को कुछ पता नहीं। अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा अच्छा जानते हैं।

मुख़्तसर यह है कि जन्नत में सौ दर्जे हैं। एक दर्जे से दूसरे दर्जे में इतनी दूरी है कि जैसे ज़मीन से आसमान तक। तिर्मिज़ी शरीफ़ की एक हदीस का मतलब यह है कि जन्नत के एक दर्जे में अगर सारा आलम समा जाये तो फ़िर भी जगह बाक़ी रहेगी जन्नत में एक इतना बड़ा पेड़ है कि अगर उसके साये में कोई सौ बरस तक तेज़ घोड़े से चलता रहे फ़िर भी वह साया ख़त्म न होगा। जन्नत के दरवाज़ों की चौड़ाई इतनी होगी कि उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक तेज़ घोड़े से सत्तर साल का रास्ता होगा। फ़िर भी जन्नत में जाने वाले इतने ज़्यादा होंगे कि मोंढे से मोंढा छिलता होगा बल्कि भीड़ से दरवाज़ा चरचराने लगेगा। जन्नत में तरह तरह के साफ़ सुथरे ऐसे महल होंगे कि अन्दर की चीज़ें बाहर से और बाहर की चीज़ें अन्दर से दिखाई देंगी।

जन्नत की दीवारें सोने चाँदी की ईटों और मुश्क के गारे से बनी हैं। ज़मीन ज़ाफ़रान की होगी। कंकरियों की जगह मोती और याकूत होंगे। एक रिवायत में यह भी है कि जन्नते अ़द्न की एक ईंट सफ़ेद मोती की, एक लाल याकूत की और एक हरे ज़बरजद की और मुश्क का गारा है। घास की जगह ज़ाफ़रान और अम्बर की मिट्टी है। जन्नत में एक मोती का खेमा होगा जिसकी ऊँचाई साठ मील की होगी।

जन्नत में पानी,दूध शहद और शराब की चार दरियायें है। उनसे नहरें निकल कर हर एक जन्नती के मकान में बह रही हैं। जन्नत की नहरें ज़मीन खोद कर नहीं बहती बल्कि ज़मीन के ऊपर जारी हैं।नहरों का एक किनारा मोती का दूसरा याकूत का उन नहरों की ज़मीन ख़ालिस मुश्क की है।

जन्नत की शराब दुनिया की शराब की तरह नहीं जिस में कड़वाहट,बदबू और नशा होता है और उसे पीकर लोग बेहोश हो जाते हैं और आपे से बाहर होकर गाली गलौच बकते हैं। जन्नत की शराब इन बातों से पाक है। जन्नत में जन्नतियों को हर किस्म के मज़ेदार खाने मिलेंगे और जो चाहेंगे फ़ौरन उनके सामने मौजूद हो जायेगा। अगर जन्नती किसी चिड़िया का गोश्त खाना चाहे तो उसी वक़्त भुना हुआ गोश्त उसके सामने आ जायेगा। अगर कोई पानी पीना चाहे तो पानी का कूज़ा (प्याला)उसकी प्यास के मुताबिक़ उस के पास आ जायेगा। ज़रूरत से न एक बूंद कम होगा न एक बूंद ज़्यादा। पीने के बाद वह आबख़ोरा (पानी पीने का बर्तन)खुद उस के पास से चला जायेगा। जन्नत में नजासत, गन्दगी,पाखाना, पेशाब, थूक, रेंठ, कान का मैल और बदन का मैल वग़ैरा कोई गन्दगी नहीं होगी। जन्नती लोगों को पेशाब पाख़ाना नहीं होगा। सिर्फ़ एक खुश्बूदार

पसीना निकलेगा। जन्नतियों का खाया हुआ सब खाना हज़म हो जायेगा और निकले हुये पसीने और डकार की खुश्बू मुश्क की होगी।

हर आदमी की खुराक सौ आदमियों की होगी और हर एक को सौ बीवियों के रखने की ताक़त दी जायेगी। हर वक़्त ज़ुबान से तस्बीह व तकबीर वग़ैरा बिना इरादे के बिना मेहनत के जैसे साँस चलती है उसी तरह आदमी की ज़ुबान से अल्लाह की तस्बीह और तकबीर जारी रहेगी। हर जन्नती के सिरहाने दस हज़ार ख़ादिम खड़े होंगे। इन ख़ादिमों के एक हाथ में चाँदी का प्याला और दूसरे हाथ में सोने का प्याला होगा और हर प्याले में नई नई नेमतें होंगी। जन्नती जितना खाता जायेगा। उन चीज़ों की लज़्ज़त बढ़ती जायेगी। हर लुक्मे और निवाले में सत्तर मज़े होंगे। हर एक मज़ा अलग अलग होगा और जन्नती सब को एक साथ महसूस करेंगे। न तो जन्नतियों के कपड़े मैले होंगे और न उनकी जवानी ढलेगी।

जन्नत में जो पहला गिरोह जायेगा उनके चेहरे चौदहवीं रात के चाँद की तरह चमकते होंगे। दूसरा गिरोह वह जैसे कोई निहायत रौशन सितारा। जन्नतियों के दिल में कोई भेद भाव न होगा। आपस में सब एक दिल होंगे। जन्नतियों में से हर एक को ख़ास हूरों में से कम से कम दो बीवियाँ ऐसी मिलेंगी कि सत्तर सत्तर जोड़े पहने होंगी फिर भी उन जोड़ों और गोश्त के बाहर से उनकी पिंडलियों का गूदा दिखाई देगा जैसे सफ़ेद गिलास में सुर्ख़ शराब दिखाई देती है। यह इसलिए कि अल्लाह ने उन हूरों को याकूत की तरह कहा है और याकूत में अगर छेद कर के धागा डाला जाये तो ज़रूर बाहर से दिखाई देगा। आदमी अपने चेहरे को उनके रूख़्सार में आईने से भी ज़्यादा साफ़ देखेगा उसके रूख़्सार पर एक मामूली मोती होगा लेकिन उस मोती में इतनी चमक होगी कि उससे पूरब से पश्चिम तक रौशन हो जायेगा जन्नत का कपड़ा दुनिया में पहना जाये तो उसे देखने वाला बेहोश हो जाये। मर्द जब जन्नत की औरतों के पास जाएगा तो उन्हें हर बार कुँवारी पाएगा मगर इसकी वजह से मर्द व औरत किसी को कोई तकलीफ़ न होगी। हूरों की थूक में इतनी मिठास होगी कि अगर कोई हूर समुन्दर में या सात समुन्दरों में थूक दे तो सारे समुन्दर शहद से ज़्यादा मीठे हो जायेंगे।

जब कोई आदमी जन्नत में जायेगा तो उस के सरहाने पैताने दो हूरें बहुत अच्छी आवाज़ से गाना गायेंगी मगर उनका गाना ढोल बाजों के साथ नहीं होगा बल्कि वह अपने गानों में अल्लाह की तारीफ़ करेंगी। उन की आवाज़ में इतनी मिठास होगी कि किसी ने वैसी आवाज़ न सुनी होगी। और वह यह भी गायेंगी कि हम हमेशा रहने वालियाँ हैं कभी न मरेंगे हम चैन वालियाँ हैं कभी तकलीफ़ में न पड़ेंगे और हम राज़ी हैं नाराज़ न होंगे और यह भी कहेंगी कि उस के लिए मुबारक बाद जो हमारा और हम उस के हों। जन्नतियों के सर पलकों और भवों के अलावा कहीं बाल न होंगे। सब बे बाल के होंगे उनकी आँखें सुर्मगी होंगी। तीस बरस से ज़्यादा कोई मालूम न होगा। मामूली जन्नती के लिए अस्सी हज़ार ख़ादिम और बहत्तर हज़ार बीवियाँ होंगी। और उनको ऐसे ताज दिये जायेंगे कि उसमें के कम दर्जे के मोती से भी पूरब से पश्चिम तक चमक हो जायेगी

अगर कोई यह चाहे कि उसके औलाद हो तो औलाद होगी लेकिन आन की आन में बच्चा तीस साल का हो जायेगा। जन्नत में न तो नींद आयेगी और न कोई मरेगा क्यूँकि जन्नत में मौत नहीं।

हर जन्नती जब जन्नत में जायेगा तो उसको उसके नेक कामों के मुताबिक़ मर्तबा मिलेगा और अल्लाह के करम की कोई थाह नहीं। फ़िर जन्नतियों को एक हफ़्ते के बाद इजाज़त दी जायेगी कि वह अपने परवरदिगार की ज़ियारत करें। फिर अल्लाह का अर्श ज़ाहिर होगा और अल्लाह तआला ,जन्नत के बाग़ों में से एक बाग़ में तजल्ली फ़रमायेगा। जन्नतियों के लिये नूर के, मोती के याकूत के,ज़बरजद के,सोने के और चाँदी के मिम्बर होंगे। और कम से कम दर्जे के जन्नती मुश्क और काफ़ूर के टीले पर बैठेंगे।और उनमें आपस में अदना और आला कोई नहीं होगा। ख़ुदा का दीदार ऐसा साफ़ होगा जैसे सूरज और चौदहवीं रात के चाँद को हर एक अपनी जगह से देखता है।

अल्लाह की तजल्ली हर एक जन्नती पर होगी। अल्लाह तआला उन जन्नतियों में से किसी को उसके गुनाह याद दिलाकर फ़रमायेगा। कि ऐ फ़लाँ का लड़के फ़लाँ तुझे याद है कि जिस दिन तूने ऐसा ऐसा किया था?बन्दा जवाब देगा कि ऐ मेरे अल्लाह क्या तूने मुझे बख़्श नहीं दिया था ? अल्लाह फ़रमायेगा कि हाँ मेरी मग़फ़िरत की वुसअत की वजह ही से तू इस मर्तबे को पहुँचा है।

वह सब इसी हालत में होंगे कि बादल छा जायेंगे और उन पर ऐसी ख़ुश्बू की बारिश होगी कि उन लोगों ने ऐसी ,ख़ुश्बु कभी न पाई होगी। फिर अल्लाह फ़रमायेगा कि उस तरफ़ जाओ जो मैंने तुम्हारे लिए इज़्ज़त तैयार कर रखी है। उसमें से जो चाहो ले लो।

लोग फिर एक ऐसे बाज़ार में पहुँचेंगे जिसे फ़रिश्तों ने घेर रखा होगा और उनमें ऐसी चीज़ें होंगी कि न तो आँखों ने देखा होगा न कानों ने सुना होगा और न उन चीज़ों का कभी किसी ने ध्यान किया होगा। जन्नती उस में से जो चीज़ पसन्द करेंगे उनके साथ कर दी जायेगी। जन्नती जब आपस में एक दूसरे से मिलेंगे और छोटे रूतबे वाला बड़े रूतबे वाले के लिबास को देख कर पसन्द करेगा तो अभी बातें ख़त्म भी न होंगी ,कि छोटे मरतबे वाला अपने कपड़े को बड़े मरतबे वाले से अच्छा समझने लगेगा यह इसलिए कि जंन्नत में किसी के लिए ग़म नहीं। फिर वहाँ से अपने अपने मकानों को वापस आयेंगे। उनकी बीबियाँ उनका इस्तिकबाल करेंगी और मुबारक बाद देकर कहेंगी कि आपका जमाल यानी ख़ुबसूरती पहले से भी कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। वह जवाब देंगे चुँकि हमें अल्लाह के दरबार में हाज़िरी नसीब हुई इसलिए हमें ऐसा ही होना चाहिए।

जन्नती बाज़ आपस में एक दूसरे से मिलना चाहेंगे तो इसके दो तरीके होंगे। एक यह कि एक का तख़्त दूसरे के पास चला जायेगा। दूसरी सूरत यह होगी कि जन्नतियों को बहुत अच्छे क़िस्म की सवारियाँ जैसे घोड़े वग़ैरा दिये जायेंगे कि उन पर सवार होकर जब चाहें और जहाँ चाहें चले जायेंगे। सबसे कम दर्जे का वह जन्नती है कि उसके बाग़ बीवियाँ ,ख़ादिम और तख़्त इतने ज़्यादा होंगे कि हज़ार बरस के सफ़र की दूरी तक यह तमाम चीज़ें फ़ैली हुई होंगी। उन जन्नतियों में अल्लाह के नज़दीक सबसे, इज़्ज़त वाला वह है जो उसका दीदार हर सुबह और शाम करेगा। जन्नती जब जन्नत में पहुँच जायेंगे और जन्नत की नेमतें उनके सामने होंगी और जन्नत में चैन आराम को जान जायेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे पूछेगा कि क्या कुछ और चाहते हो?तो

वह कहेंगे कि या अल्लाह तूने हमारे चेहरे रौशन किये जन्नत में दाख़िल किया और जहन्नम से नजात दी उस वक़्त मख़लूक़ पर पड़ा हुआ पर्दा उठ जायेगा और उन्हें अल्लाह का दीदार नसीब होगा। दीदारे इलाही से बढ़ कर कोई चीज़ नहीं।

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا زِيَارَةَ وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ بِجَاهِ حَبِيْبِكَ الرَّؤُفِ الرَّحِيْمِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ التَّسْلِيْمِ اٰمِيْن.

तर्जमा :–"या अल्लााह! हमको अपने महबूब सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जो रऊफ़ ओ रहीम हैं उनके वसीले से अपना दीदार नसीब फ़रमा। आमीन!"

दोज़ख का बयान

दोज़ख एक ऐसा मकान है जो अल्लाह तआ़ला की शाने जब्बारी और जलाल की मज़हर (ज़ाहिर करने वाली) है। जिस तरह अल्लाह की रहमत और नेमत की कोई ह़द नहीं कि इन्सान शुमार नहीं कर सकता और जो कुछ इन्सान सोचता है वह शुम्मह (ज़र्रा) बराबर भी नहीं,उसी तरह उसके ग़ज़ब और जलाल क़ी कोई ह़द नहीं। इन्सान जिस क़द्र भी दोज़ख़ की आफ़तों मुसीबतों और तकलीफ़ों को सोच सकता है वह अल्लाह के अ़ज़ाब का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होगा। क़ुर्आन व अहादीस में जो दोज़ख़ के अ़ज़ाब का बयान है उसमें से कुछ बातें ज़िक की जाती हैं मुसलमान देखें और दोज़ख़ से पनाह माँगें। हदीस शरीफ़ में है कि जो बन्दा जहन्नम से पनाह माँगता है जहन्नम कहता है कि ऐ रब ! यह मुझ से पनाह माँगता है तू इसको पनाह दे। क़ुर्आन शरीफ़ में कई जगहों पर आया है कि जहन्नम से बचो और दोज़ख़ से डरो। हमारे सरकार ह़ज़रत मुह़म्मद मुस्तफ़ा स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम हमें सिखाने के लिए ज़्यादा तर जहन्नम से पनाह माँगा करते थे। जहन्नम का ह़ाल यह होगा कि उसकी चिंगारियाँ ऊँचे ऊँचे महलों के बराबर इस तरह उड़ेंगी कि जैसे ज़र्द ऊँटों की क़तारें लगातार आ रही हों। पत्थर, आदमी जहन्नम के ईंधन हैं। दुनिया की आग जहन्नम की आग के सत्तर हिस्सों में उसे एक हिस्सा है। जिस जिस जहन्नमी को सब से कम दर्जे का अ़ज़ाब होगा उसे आग की जूतियाँ पहनाई जायेंगी जिससे उसके सर का भेजा ऐसा खौलेगा जैसे तांबे की पतीली खौलती है और वह यह समझेगा कि सब से ज़्यादा अ़ज़ाब उसी पर हो रहा है जबकि यह हल्का अ़ज़ाब है जिस पर सब से हल्के दर्जे का अ़ज़ाब होगा उस से अल्लाह तआ़ला पूछेगा कि अगर सारी ज़मीन तेरी हो जाये तो क्या तू इस अ़ज़ाब से बचने के लिए सारी ज़मीन फ़िदये में दे देगा ? वह जवाब देगा कि हाँ हाँ मैं दे दूँगा । फिर अल्लाह तआ़ला इरशाद फ़रमायेगा कि ऐ बन्दे मैंने तेरे लिये बहुत आसान चीज़ का हुक्म उस वक़्त दिया था जब कि तू आदम की पीठ में था लेकिन तू न माना।

जहन्नम की आग हज़ार बरस तक धैंकाई गई यहाँ तक कि बिल्कुल लाल हो गई। फिर हज़ार बरस और जलाई गई यहाँ तक कि सफ़ेद हो गई। उस के बाद फिर हज़ार साल जलाई गई यहाँ तक कि बिल्कुल काली हो गई और अब वह बिल्कुल काली है और उस में रौशनी का नामो निशान नहीं।

जहन्नम का ह़ाल बताते हुए ह़ज़रते जिब्रील अ़लैहिस्सलाम ने हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से क़सम खा कर कहा। कि अगर जहन्नम से एक सुई के नाके के बराबर खोल दिया जाये तो ज़मीन के सारे बसने वाले उसकी गर्मी से मर जायें। और इसी तरह यह भी कहा कि

अगर जहन्नम का कोई दारोग़ा दुनिया वालों के सामने आ जाये तो उसकी डरावनी सूरत के डर से सब के सब मर जायें। और उन्हों ने यह भी बताया कि अगर जहन्नमियों के ज़ंजीर की एक कड़ी दुनिया के पहाड़ पर रख दी जाये तो थरथर कांपने लगे और यह पहाड़ ज़मीन तक धंस जायें।

दुनिया की यह आग जिसकी गर्मी और तेज़ी को सब जानते हैं कि कुछ मौसमों में उसके पास जाना भी दूभर होता है फिर भी यह आग ख़ुदा से दुआ करती है कि या अल्लाह! हमें जहन्नम में फ़िर न भेज देना लेकिन तअ़ज्जुब की बात यह है कि इन्सान जहन्नम में जाने का काम करता है और उस आग से नहीं डरता जिससे आग भी पनाह माँगती है।

दोज़ख़ की गहराई के बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता फ़िर भी ह़दीसों के देखने से पता चलता है कि अगर पत्थर की चट्टान जहन्म के किनारे से उस की गहराई में फेंकी जाये तो सत्तर बरस में भी त़ह तक न पहूँचेगी। जब के इन्सान के सर के बराबर सीसे का गोला अगर आसमान से ज़मीन को फ़ेंका जाये तो रात आने से पहले पहले ज़मीन तक पहुँच जायेगा। ह़ालाँकि आसमान से ज़मीन तक पाँच सौ साल तक का रास्ता है। फिर उसमें अलग अलग तबके़ वादियाँ और कूचे हैं। कुछ वादियाँ ऐसी भी हैं कि जिनसे जहन्नम भी हर रोज़ सत्तर बार पनाह माँगता है। अब आप अन्दाज़ा लगाईये कि जहन्नम की गहराई क्या होगी। जहन्म जैसे डरावने घर में अ़गर और कुछ अ़ज़ाब न होता फिर भी यह बहुत बड़ी सज़ा और तकलीफ़ की जगह थी लेकिन जहन्नम में काफ़िरों के लिये अलग अलग सज़ायें भी हैं जैसा कि बताया गया अब कुछ और जहन्नम का ह़ाल और उसके अज़ाब लिखे जा रहे हैं।

काफ़िरों को फ़रिश्ते लोहे के ऐसे ऐसे भारी गुर्ज़ो से मारेंगे कि अगर कोई गुर्ज़ ज़मीन पर रख दिया जाये और उसे दुनिया के सारे इन्सान और जिन्नात मिलकर एक साथ उठाना चाहें तो न उठा सकें जहन्नम में बहुत बड़े बड़े साँप और बुख़्ती ऊँट के बराबर बिच्छू होंगे जो अगर एक बार काट लें तो उस से दर्द,जलन और बेचैनी हज़ार साल तक रहे। बुख़्ती ऊँट ऐसे ऊँट कहलाते हैं जो हर तरह के ऊँटों से बड़े होते हैं। जहन्नमियों को तेल की जली हुई तलछट की त़रह़ बहुत खौलता हुआ पानी पीने को दिया जायेगा कि जैसे ही उस पानी को मुँह के क़रीब ले जायेंगे उसकी गर्मी और तेज़ी से चेहरे की खाल जल कर गिर जायेगी। सर पर वह गर्म पानी बहाया जायेगा । और जहन्नमियों के बदन से निकली हुई पीप उन्हें पिलाई जायेगी। काँटेदार थूहड़ उन्हें खाने को दिया जायेगा। वह ऐसा होगा कि अगर उसकी एक बुँद दुनिया में आ जाये तो उस की जलन और बदबू से सारी दुनिया का रहन सहन बरबाद हो जाये। जहन्नमी जब थूहड़ को खायेंगे तो उनके गले में फँस जायेगा। उसे उतारने के लिये जब वह पानी मांगेंगे तो उन्हें वही पानी दिया जायेगा जिस का ज़िक्र पहले किया जा चुका है। वह तलछट की तरह पानी पेट में जाते ही आंतों के टुकड़े टुकड़े कर देगा और आँतें शोरबे की त़रह़ बह कर क़दमों की त़रफ़ निकलेंगीं। प्यास इस बला की होगी कि जहन्नमी उस पानी पर भी ऐसे गिरेंगे जैसे 'तौंस' के मारे हुए ऊँट गिरते हैं।

काफ़िर जब जहन्नम की मुसीबतों और तकलीफ़ों से अपनी जान से अ़जिज़ आजायेंगे तो आपस में राय करके ह़ज़रत मालिक (अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम)को पुकारते हुए फ़रयाद करेंगे कि ऐ

मालिक! तेरा रब हमारा किस्सा तमाम कर दे। लेकिन वह हज़ार बरस तक कोई जवाब न देंगे। हज़ार साल के बाद कहेंगे कि तुम मुझ से क्या कहते हो उससे कहो जिसकी तुमने नाफ़रमानी की है। फिर वह अल्लाह को उसके रहमत भरे नामों से हज़ार साल तक पुकारेंगे। वह भी हज़ार साल तक जवाब न देगा। उसके बाद फ़रमायेगा कि दूर हो जाओ जहन्नम में पड़े रहो मुझ से बात न करो।

फिर यह काफ़िर हर तरह की भलाईयों से नाउम्मीद हो कर गधों की तरह रोना और चिल्लाना शुरू करेंगे। पहले आँसू निकलेंगे और जब आँसू ख़त्म हो जायेंगे तो खून के आँसू रोयेंगे रोते रोते उन के गालों में ख़न्दकों की तरह गढ़े पड जायेंगे। उन के रोने से खून और पीप इतना निकलेगा कि अगर उस में कश्तियाँ डाल दी जायें तो वह भी चलने लगें। जहन्नमियों की सूरतें ऐसी बुरी होंगी कि अगर कोई जहन्नमी अपनी उसी सूरत के साथ इस दुनिया में लाया जाये तो उसकी सूरत और उसकी बदबू से तमाम लोग मर जायें और उनका बदन इतना बड़ा कर दिया जायेगा कि उन के एक मोंढे से दूसरे मोंढे तक की दूरी तेज़ सवार के लिये तीन दिन होगी। एक एक दाढ़ उहुद पहाड़ के बराबर होगी। उनके बदन की खाल की मोटाई 'बियालीस ज़िराअ'42 हाथ, या 42 गज़ की होगी। उनकी ज़ुबानें एक दो कोस तक मुँह से बाहर घसिटती होंगी कि लोग उन्हें रौंदते हुए चलेंगे। बैठने की जगह इतनी होगी कि जैसे मक्के से मदीने तक और वह जहन्नम में मुँह सिकोड़े हुए होंगे। उन के ऊपर का होंट सिमट कर बीच सर को पहुँच जायेगा और नीचे का लटक कर नाफ़ तक आ जायेगा।

इन मज़ामीन से यह पता चलता है। कि जहन्नम में काफ़िरों की सूरत इन्सानों जैसी न होगी इसलिए कि इन्सान की सूरत को अहसने तक़वीम, कहा गया है और अल्लाह को इन्सान की सूरत इसलिए पसन्द है कि आदमी की सूरत उस के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कुछ न कुछ मिलती जुलती है इसलिए अल्लाह ने जहन्नमियों की सूरत को आदमियों की सूरत से अलग कर दिया है। आख़िर में काफ़िरों के लिए यह होगा कि उनमें से हर एक को उनके क़द के बराबर आग के सन्दूक़ में बन्द किया जायेगा सन्दूक़ में आग भड़काई जायेगी और आग का ताला लगाया जायेगा फिर उस बक्स को आग के एक दूसरे सन्दूक़ में रखा जायेगा और उन दोनों के बीच आग जलाई जायेगी और उस दूसरे सन्दूक़ में भी आग का ताला लगाया जायेगा फिर उस बक्स को एक तीसरे आग के सन्दूक़ में डाला जायेगा और उसे भी आग के ताले में बन्द किया जायेगा और आग में डाल दिया जायेगा अब हर एक काफ़िर यह समझेगा कि उस के सिवा अब कोई भी आग में नहीं रहा। और यह अज़ाब तमाम अज़ाबों से बड़ा है और अब हमेशा उस के लिए अज़ाब ही अज़ाब है।

जब सब जन्नती जन्नत में दाख़िल हो जायेंगे और जहन्नम में सिर्फ़ वही रह जायेंगे जिन को हमेशा के लिए उस में रहना है। उस वक़्त जन्नत और दोज़ख के बीच 'मौत' को मेंढे की शक्ल में लाकर ख़डा किया जायेगा। फिर जन्नत वालों को पुकारा जायेगा। वह डरते हुए झाँकेंगे कि कहीं ऐसा न हो कि यहाँ से निकलना पड़े फिर जहन्नमियों को आवाज़ दी जायेगी वह खुश होते हुए झाँकेंगे कि शायद उन्हें इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाये। फिर जन्नतियों और जहन्नमियों को

वह मेढा दिखाकर पूछा जायेगा कि क्या तुम लोग इसे पहचानते हो ? तो जवाब में सब कहेंगे कि हाँ यह मौत है तो फ़िर वह मौत ज़िबह कर दी जायेगी और कहा जायेगा कि ऐ जन्नत वालों हमेशगी है अब मौत नहीं आयेगी और ऐ दोज़ख वालों। तुम्हें अब हमेशा जहन्नम ही में रहना है और अब तुम्हें भी मरना नहीं है उस वक़्त जन्नतियों के लिए बेहद खुशी होगी और जहन्नमियों को बेइन्तिहा ग़म।

نَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ

तर्जमा :– "दीन दुनिया और आख़िरत में हम अल्लाह से माफ़ी और आफ़ियत का सवाल करते है"।

ईमान और कुफ़्र का बयान

ईमान इसे कहते हैं कि सच्चे दिल से उन तमाम बातों की तस्दीक़ करे जो दीन की ज़रूरियात में से हैं और किसी एक ज़रूरी दीनी चीज़ के इन्कार को कुफ़्र कहते हैं अगरचे बाक़ी तमाम ज़रूरियात को हक़ और सच मानता हो मतलब यह कि अगर कोई सारी ज़रूरी दीनी बातों को मानता हो लेकिन किसी एक का इन्कार कर बैठे तो अगर जिहालत और नादानी की वजह से है तो कुफ़्र है और जान बूझ कर इन्कार करे तो काफ़िर है। दीन की ज़रूरियात में वह बातें हैं जिनको हर ख़ास और आम लोग जानते हों जैसे:—अल्लाह तआला की वहदानियत यानी अल्लाह तआला को एक मानना,नबियों की नुबुव्वत,जन्नत,दोज़ख़ हश्र,नश्र वग़ैरा। मिसाल के तौर पर एअ्तिक़ाद रखता हो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 'ख़ातमुन्नबीय्यीन'हैं (यानी हुज़ूर के बाद अब कोई नया नबी कभी नहीं आएगा)

अवाम से मुराद वह लोग हैं जिनकी गिनती आलिमों में तो न हो मगर आलिमों के साथ उनका उठना बैठना रहता हो और वह दीनी और इल्मी बातों का शौक़ रखते हों। ऐसा नहीं कि वह जंगल बियाबानों और पहाड़ों के रहने वाले हों जो कलिमा भी ठीक से नहीं पढ़ सकते हों ऐसे लोग अगर दीन की ज़रूरी बातों को न जानें तो उनके न जानने से दीन की ज़रूरी बातें ग़ैर ज़रूरी नहीं हो जायेंगी। अलबत्ता उनके मुसलमान होने के लिए यह बात ज़रूरी है कि वह दीन और मज़हब की ज़रूरी चीजों का इन्कार न करें और यह एअ्तिक़ाद रखते हों कि इस्लाम में जो कुछ है हक़ है और उन सब पर उनका ईमान हो।

अक़ीदा :– अस्ले ईमान सिर्फ तस्दीक़ का नाम है यानी जो कुछ अल्लाह व रसूल जल्ला व अला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है उसको दिल से हक़ मानना। आमाल (यानी नमाज़,रोज़ा वग़ैरा) जुज़्वे ईमान यानी ईमान का हिस्सा नहीं। अब रही बात इक़रार की तो अगर तस्दीक़ के बाद उसको अपना ईमान ज़ाहिर करने का मौक़ा नही मिला तो यह अल्लाह के नज़दीक मोमिन है और अगर उसे मौक़ा मिला और उसे इक़रार करने को न कहा गया तो अहकामे दुनिया में काफ़िर समझा जायेगा न उस के जनाज़े की नमाज़ पढ़ी जायेगी। और न वह मुसलमानों के क़ब्रिस्तान में दफ़न किया जायेगा। लेकिन अगर उस से इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात न ज़ाहिर हो तो वह अल्लाह के नज़दीक मोमिन है।

अक़ीदा :– मुसलमान होने के लिए यह भी ज़रूरी शर्त है कि ज़ुबान से किसी ऐसी चीज़ का

इन्कार न करे जो दीन की ज़रूरियात से है अगरचे बाक़ी बातों का इक़रार करता हो। और अगर कोई यह कहे कि सिर्फ़ ज़ुबान से इन्कार है और दिल में इन्कार नहीं तो वह भी मुसलमान नहीं क्यूँकि बिना किसी ख़ास शरई मजबूरी के कोई मुसलमान कुफ़्र का कलिमा निकाल ही नहीं सकता इसलिए कि ऐसी बात वही मुँह पर ला सकता है जिस के दिल में इस्लाम और दीन की इतनी ही जगह हो कि जब चाहा इन्कार कर दिया और इस्लाम ऐसी तस्दीक़ का नाम है जिस के ख़िलाफ़ हरगिज़ कोई गुन्जाइश नहीं।

मसअ्ला :– अगर कोई आदमी मजबूर किया गया कि वह(मआज़ल्लाह)कोई कुफ़्री बात कहे य़ानी वह मुसलमान अगर कुफ़्री बात न कहेगा तो ज़ालिम उसे मार डालेगा या उसके बदन का कोई हिस्सा काट देगा तो उस मुसलमान के लिए इजाज़त है कि मजबूरी में वह ज़ुबान से कुफ़्री बात बक दे मगर शर्त यह है कि दिल में उसके वही ईमान बाक़ी रहे जो पहले था लेकिन ज़्यादा अच्छा यही है कि जान चली जाये मगर ज़ुबान से भी कुफ़्री बात न बके ।

मसअ्ला :– अ़मले जवारेह(य़ानी हाथ पैर वग़ैरा से किए जाने वाले अ़मल या काम)ईमान के अन्दर दाख़िल नहीं है। अलबत्ता कुछ ऐसे काम हैं जो बिल्कुल ईमान के ख़िलाफ़ हैं उन कामों के करने वालों को काफ़िर कहा जायेगा। जैसे बुत, चाँद या सूरज को सजदा करने किसी नबी के क़त्ल या नबी की तौहीन करने वाले या क़ुर्आन शरीफ़ या क़ाबे की तौहीन करने वाले और किसी सुन्नत को हल्का बताने वाले यक़ीनी तौर पर काफ़िर हैं। ऐसे ही जुन्नार(जनेऊ)बाँधने वाले,सर पर चोटी रखने वाले और क़शक़ा (मज़हबी टीका) लगाने वाले को भी फ़ुक़हाए किराम ने काफ़िर कहा है। ऐसे लोगों के लिए हुक्म है कि वह तौबा क़र के दोबारा इस्लाम लायें और फिर अपनी बीवी से दोबारा निकाह करें।

अ़क़ीदा :– दीन की ज़रूरियात में से जिस चीज़ का ह़लाल होना नस्से क़त़ई (य़ानी क़ुर्आन और अह़ादीस)से स़ाबित हो उसको ह़राम कहना और जिसका ह़राम होना यक़ीनी हो उसे ह़लाल बताना कुफ़्र है जबकि यह हुक्म दीन की ज़रूरियात से हो और अगर मुन्किर उस दीन की ज़रूरी बात से आगाह है तो काफ़िर है।

मसअ्ला :– उसूले अ़क़ाइद (य़ानी बुनियादी अ़क़ीदों में)किसी की तक़लीद या पैरवी जाइज़ नहीं बल्कि जो बात हो वह क़त़ई यक़ीन के साथ हो चाहे वह यक़ीन किसी त़रह भी ह़ासिल हो उस के ह़ासिल करने से ख़ास़ कर इल्मे इस्तिदलाली की ज़रूरत नहीं। हाँ कुछ फ़रूए अ़काइद में तक़लीद हो सकती है इसी बुनियाद पर ख़ुद अहले सुन्नत में दो गिरोह हैं।

(1)**मातुरीदिया** :– यह गिरोह इमाम इ़लमुल हुदा ह़ज़रत अबू मन्सूर मातुरीदी रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के पैरवी करने वाले हैं।

(2)**अशाइरा** :– यह दूसरा गिरोह ह़ज़रत इमाम शैख़ अबुल ह़सन अशअ़री रह़मतुल्लाहि तआ़ला अ़लैह की पैरवी करने वाला है। और ये दोनों जमाअ़तें अहले सुन्नत की ही जमाअ़तें और दोनों ह़क़ पर हैं। अलबत्ता आपस में कुछ फ़ुरूई बातों का इख़्तिलाफ़ है। इनका इख़्तिलाफ़ ह़नफ़ी शाफ़ेई की त़रह है कि दोनों ह़क़ पर हैं। कोई किसी को गुमराह और फ़ासिक़ नहीं कहता है।

मसअ्ला :– ईमान में ज़्यादती और कमी नहीं इसलिये कि कमी बेशी उस में होती है जिस में

लम्बाई,चौड़ाई,मोटाई या गिनती हो और ईमान दिल की तस्दीक़ का नाम है और तस्दीक़ कैफ़ यानी एक हालते इज़्आनिया (यक़ीनिया) है कुछ आयतों में ईमान का ज़्यादा होना जो फरमाया गया है। उससे मुराद वह है जिस पर ईमान लाया गया और जिसकी तस्दीक़ की गई कि क़ुर्आन शरीफ़ के नाज़िल होने के ज़माने में उसकी कोई हद मुक़र्रर न थी बल्कि अहकाम उतरते रहते और जो हुक्म नाज़िल होता हो। उस पर ईमान लाज़िम होता। ऐसा नहीं कि नफ़्से ईमान बढ़ घट जाता हो। अलबत्ता ईमान में सख़्ती और कमज़ोरी होती है कि यह कैफ़ के अवारिज़ से है। हज़रते सिद्दीके अकबर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु का ईमान ऐसा है कि अगर इस उम्मत के सारे लोगों के ईमानों को जमा कर लिया जाये तो उनका तन्हा ईमान सब पर भारी होगा।

अ़क़ीदा :– ईमान और कुफ़्र के बीच की कोई कड़ी नहीं यानी आदमी या तो मुसलमान होगा या काफ़िर तीसरी कोई सूरत नहीं कि न मुसलमान हो न काफ़िर।

नोट :– हाँ यह मुमकिन है कि हम शुबह की वजह से किसी को न मुसलमान कह न काफ़िर जैसे यज़ीद पलीद और इसमाईल देहलवी जैसे लोग। इन जैसे लोगों के बारे में हमारे उ़ल्मा ने ख़ामोशी का हुक्म फ़रमाया कि न तो हम इन्हें मुसलमान कहेंगे न काफ़िर हमारे सामने अगर कोई मुसलमान कहे तो भी हम ख़ामोश रहेंगे और काफ़िर कहे तो भी ख़ामोशी इख़्तियार करेंगे। यह शक की वजह से है। यज़ीद के बारे में इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु का यही हुक्म है कि शक की वजह से उसे न मुसलमान कहेंगे न काफ़िर बल्कि ख़ामोशी इख़्तेयार करेंगे।

मसअ्ला :– निफ़ाक़ उस को कहते हैं कि ज़बान से इस्लाम का दावा करे और दिल में इस्लाम का इन्कार करे ऐसे शख़्स को मुनाफ़िक़ कहते है। निफ़ाक़ भी ख़ालिस कुफ़्र है और मुनाफ़िक़ों के लिये जहन्नम का सब से नीचे का दर्जा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में इस तरह के कुछ लोग मुनाफ़िक़ के नाम से मशहूर हुए उनके छिपे हुए कुफ़्र को कुरआन ने बताया और ग़ैब जानने वाले नबी स़ल्ललाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने भी एक एक को पहचान कर फ़रमाया कि यह मुनाफ़िक़ है। अब इस ज़माने में किसी ख़ास आदमी के बारे में उस वक़्त तक यकीन के साथ यह नहीं कहा जा सकता कि वह मुनाफ़िक़ है जब तक कि उसकी कोई बात या उसका कोई काम ईमान के ख़िलाफ़ न देख लिया जाये कयूँकि हमारे सामने जो अपने आप को मुसलमान कहे हम उसे मुसलमान समझेंगे। अलबत्ता निफ़ाक़ के सिलसिले की एक कड़ी इस ज़माने में पाई जाती है कि बहुत से बदमज़हब अपने आप को एक तरफ़ तो मुसलमान कहते हैं और दूसरी तरफ़ दीन की कुछ ज़रूरी बातों का इन्कार भी करते हैं। ज़ाहिर है कि ऐसे लोग मुनाफ़िक़ और काफ़िर माने जायेंगे।

अ़क़ीदा :– शिर्क का मतलब यह है कि अल्लाह के अ़लावा किसी दूसरे को वाजिबुल वुजूद या इबादत के लाइक़ माना जाये यानी ख़ुदा तआ़ला के साथ अल्लाह और माबूद होने में किसी दूसरे को शरीक किया जाये और यह कुफ़्र की सब से बदतरीन क़िस्म है। इसके सिवा कोई बात अगरचे कैसी ही बुरी और सख़्त कुफ़्र हो फिर भी हक़ीक़त में शिर्क नहीं है। इसीलिये शरीअ़त ने किताबी काफ़िरों मतलब तौरात, ज़बूर या इन्जील के मानने वालों और मुशरिकीन में फ़र्क़ किया है जैसे

किताबी का ज़िबह किया हुआ जानवर हलाल होगा और मुशरिक का नहीं। ऐसे ही किताबी औरतों से मुसलमान निकाह कर सकता है और मुशरिक औरत से नहीं। इमामे शाफ़ेई रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैहि यह भी कहते हैं कि किताबी से जिज़या लिया जायेगा और मुशरिक से नहीं लिया जाएगा। और कभी ऐसा भी होता है कि शिर्क बोल कर कुफ़्र मुराद लिया जाता है। चाहे अल्लाह तआ़ला के साथ कोई शरीक करे या किसी नबी की तौहीन करे यह सब शिर्क में शामिल होते हैं। यह जो कुर्आन शरीफ़ में आया है कि शिर्क नहीं बख़्शा जायेगा वह हर कुफ़्र के मअ्ना पर है यानी हरगिज़ किसी तरह के कुफ़्र की बख़्शिश न होगी। कुफ़्र के अलावा बाक़ी सारे गुनाहों के लिए अल्लाह तआ़ला की मर्ज़ी है चाहे वह सज़ा दे या बख़्श दे।

अ़क़ीदा :– जिस मुसलमान ने गुनाहे कबीरा किया हो वह मुसलमान जन्नत में जायेगा। चाहे अल्लाह अपने करम से उसे बख़्श दे या हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम उसकी शफ़ाअ़त कर दें या अपने किये की सज़ा पाकर जन्नत में जायेगा फिर कभी न निकलेगा।

अ़क़ीदा :– जो कोई किसी काफ़िर के लिए मग़फ़िरत की दुआ़ करे या किसी मरे हुए मुरतद को मरहूम या मग़फ़ूर या किसी मरे हुए हिन्दू को बैकुन्ठबासी(स्वर्गवासी)कहे वह ख़ुद काफ़िर है।

अ़क़ीदा :– मुसलमान को मुसलमान और काफ़िर को काफ़िर जानना दीन की ज़रूरी बातों में से है,अगरचे किसी ख़ास आदमी के बारे में यह यक़ीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि जिस वक़्त उसकी मौत हुई हक़ीक़त में वह मोमिन था या काफ़िर जब तक कि उस के ख़ातमे और मौत का हाल शरीअ़त की दलील से न साबित हो मगर इसका यह मतलब भी नहीं कि जिसने यक़ीनी तौर पर कुफ़्र किया हो उसके कुफ़्र में भी शक किया जाये क्यूँकि जो यक़ीनी तौर पर काफ़िर हो उस के काफ़िर होने के बारे में शक करने वाला भी काफ़िर हो जाता है।

कोई आदमी अपने ख़ातिमे के वक़्त मोमिन है या काफ़िर इसकी जानकारी की बुनियाद क़्यामत के दिन पर है लेकिन शरीअ़त का क़ानून ज़ाहिर पर है। इसे यूँ समझिये कि एक आदमी सूरत से बिल्कूल मुसलमान है,नमाज़ी है,हाजी है लेकिन दिल में ऐसे लोगों को अच्छा समझता हो जिन लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की शान में गुस्ताख़ी की है तो चुँकि उस का यह कुफ़्र किसी को मालूम नहीं है वह मुसलमान ही माना जायेगा। दूसरी बात यह है कि अगर कोई यहूदी नसरानी या कोई बुतपरस्त मरा है। मगर अल्लाह और रसूल का यही हुक्म है कि उसे काफ़िर ही जानें और उस के साथ उसी तरह बर्ताव किया जायेगा जैसा कि उसकी ज़िन्दगी में काफ़िरों के साथ किया जाता है। जैसे मेल, जोल,शादी,नमाज़े जनाज़ा और कफ़न दफ़न वग़ैरा में मुसलमानों का काफ़िरों के साथ बर्ताव है। इसलिए कि जब उसने कुफ़्र किया है तो ईमान वालों के लिये फ़र्ज़ है कि वह उसे काफ़िर ही समझें और ख़ातिमे का हाल अल्लाह पर छोड़ दें। इसी तरह जो ज़ाहिर में मुसलमान हो और उसकी कोई बात या उसका कोई काम ईमान के ख़िलाफ़ न हो तो उसे मुसलमान ही समझना फ़र्ज़ है अगरचे हमें उसके ख़ातिमे का भी हाल नहीं मालूम।

इस ज़माने में कुछ लोग यह कहते हैं जितनी देर काफ़िर को काफ़िर कहने में लगाओगे

उतनी देर अल्लाह अल्लाह करो तो सवाब मिलेगा। इस का जवाब यह है कि हम कब कहते हैं कि काफ़िर काफ़िर का वज़ीफ़ा कर लो बल्कि मतलब यह है कि काफ़िर को दिल से काफ़िर जानो और उसके बारे में अगर पूछा जाये तो उसे बेझिझक साफ़ साफ़ काफ़िर कह दो। सुलह कुल्लियों की तरह उस के कुफ़्र पर पर्दा डालने की ज़रूरत नहीं।

कुछ फ़िरक़ों के बारे में

हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि

سَتَفْتَرِقُ اُمَّتِیْ ثَلٰثًا وَّ سَبْعِیْنَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِی النَّارِ اِلَّا وَاحِدَةً

तर्जमा :– "यह उम्मत तिहत्तर फ़िरक़े हो जायेगी। एक फ़िरक़ा जन्नती होगा बाक़ी सब जहन्नमी होंगे।" तो हुज़ूर के सहाबा ने पूछा कि

مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ

तर्जमा :– या रसूलल्लाह वह कौन लोग हैं जो जन्नती हैं?

हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने जवाब इरशाद फ़रमाया कि

مَااَنَا عَلَيْهِ وَ اَصْحَابِیْ

तर्जमा :– वह जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, यानी सुन्नत की पैरवी करने वाले हैं।

एक दूसरी रिवायत में यह भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि–

هُمُ الْجَمَاعَةُ

तर्जमा :– वह जमाअ़त है। यानी मुसलमानों का बड़ा गिरोह जिसे 'सवादे आज़म' कहा गया है।

और हुज़ूर ने यह भी फ़रमाया कि जो इस जमाअ़त से अलग हुआ वह जहन्नम में अलग हुआ। इसीलिए इस जन्नती और नजात पाने वाले फ़िरक़े का नाम 'अहले सुन्नत व जमाअ़त' हुआ।

और गुमराह फ़िरक़ों में से बहुत से फ़िरक़े हुए। कुछ ऐसे भी थे जिनका अब नाम निशान भी नहीं। और कुछ ऐसे हैं जो हिन्दुस्तान से बाहर के हैं। हम इस वक़्त सिर्फ़ हिन्दुस्तान के कुछ बातिल फ़िरक़ों के बारे में बतायेंगे ताकि हमारे मुसलमान भाई उन बदमज़हबों के चक्कर में पड़ कर धोखा न खायें।

हदीस शरीफ़ में यह भी आया है कि :–

اِيَّاكُمْ وَ اِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّوْنَكُمْ وَ لَا يَفْتِنُوْنَكُمْ

तर्जमा :– "तुम अपने को उनसे (बद मज़हबों से) दूर रखो और उन्हें अपने से दूर करो कहीं वह तुम्हें गुमराह न कर दें और वह फ़ितने में डाल दें।

(1)क़ादयानी फ़िरक़ा

मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़ादियानी के मानने वालों को क़ादियानी कहते हैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अपनी नुबुव्वत का दावा किया। नबियों की शान में गुस्ताख़ियाँ कीं। हज़रते ईसा अ़लैहिस्लाम और उनकी माँ तय्यबा ताहिरा सिद्दीक़ा हज़रते मरयम की शान में वह बेहूदा अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए जिनसे मुसलमानों की जानें दहल जाती हैं। यही नहीं बल्कि हज़रते मूसा अ़लैहिस्सलाम और हमारे सरकार नबियों के सरदार हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम की तौहीन की क़ुर्आन शरीफ़ का इन्कार किया और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम के ख़ातमुन्नबीय्यीन (यानी आख़िरी

नबी) होने को उसने तसलीम नहीं किया और नबियों को झुटलाया। इनके अलावा और भी उसने सैकड़ों कुफ़्र किये हैं कि अगर उन्हें लिखा जाये तो एक दफ़्तर चाहिए। शरीअत का क़ानून है कि अगर किसी ने किसी एक नबी को झुटलाया तो सबको झुटलाया। क़ुर्आन शरीफ़ में आया है कि–

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ نِ الْمُرْسَلِيْنَ

तर्जमा :– हज़रते नूह अलैहिस्सलाम की क़ौम ने पैग़म्बरों को झुटलाया। मिर्ज़ा ने तो बहुतों को झुटलाया और अपने को नबी से बेहतर बताया। इसीलिए ऐसे आदमी ओर उसके मानने वालों के काफ़िर होने के बारे में किसी मुसलमान को शक हो ही नहीं सकता। और अगर कोई मुसलमान उसकी कही या लिखी बातों को जान के उसके काफ़िर होने में शक करे वह खुद काफ़िर है। अब मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़ादियानी की कुछ लिखी हुई बातें और किताबों के नाम पेज न. के साथ इसलिए लिखी जा रही हैं कि जो देखना चाहे उसकी ख़बासतों को देख ले। मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़ादियानी ने जो ख़बीस हरकतें कीं वह उस की इन इबारतों से साबित हैं।

1. ख़ुदाए तआला ने 'बराहीने अहमदीया' में इस आजिज़ का नाम उम्मती भी रखा और नबी भी (इज़ालए औहाम स न 533)
2. ऐ अहमद! तेरा नाम पूरा हो जायेगा क़ब्ल इसके जो मेरा नाम पूरा हो (अनजाम आथम स न 52)
3. तुझे खुश ख़बरी हो ऐ अहमद! तू मेरी मुराद है और मेरे साथ है (अनजाम आथम स न 55)
4. तुझको तमाम जहान की रहमत के वास्ते रवाना किया। (अनजाम आथम स न 78)

नोट :– हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फ़ज़ीलत के बारे में क़ुर्आन शरीफ़ में अल्लाह तआला ने यह फ़रमाया है कि :–

وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

तर्जमा :– " और हमने तुम्हें न भेजा मगर रहमत सारे जहान के लिए" इस आयत को मिर्ज़ा ने अपने ऊपर जमाने की कोशिश की है।

وَمُبَشِّرًاۢ بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗۤ اَحْمَدُ

से अपनी ज़ात मुराद लेता है दाफ़ेउल बला सफ़ा छः में है

5. "मुझको अल्लाह तआला फ़रमाता है।

اَنْتَ مِنِّىْ بِمَنْزِلَةِ اَوْلَادِىْ اَنْتَ مِنِّىْ وَ اَنَا مِنْكَ -

तर्जमा :– "ऐ ग़ुलाम अहमद। तू मेरी औलाद की जगह है तू मुझ से और मैं तुझ से हूँ। (दाफ़िउ बला पेज न.6)

6. हज़रत रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इलहाम व वही ग़लत निकली थी। (इज़ालए औहाम पेज न.688)
7. हज़रते मूसा की पेशगोईयाँ भी उस सूरत पर ज़ुहूरपज़ीर (ज़ाहिर)नहीं हुई जिस सूरत पर हज़रते मूसा ने अपने दिल में उम्मीद बाँधी थी। (इज़ालए औहाम पेज न. 8)
8. सूरए बक़रह में जो एक क़त्ल का ज़िक्र है कि गाय की बोटियाँ लाश पर मारने से वह मक़तूल ज़िन्दा हो गया था और अपने क़ातिल का पता दे दिया था यह महज़ मूसा अलैहिस्सलाम की धमकी थी और इल्मे मिसमरेज़म था। (इज़ालए औहाम पेज नं. 725)

9. हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम का चार परिन्दे के मोजिज़े का ज़िक्र जो क़ुर्आन में है वह भी उनका मिसमरेज़म का अ़मल था। (इज़ालए औहाम पेज नं. 553)

10. एक बादशाह के वक़्त में चार सौ नबियों ने उसके फ़तह के बारे में पेशीनगोई की और वह झूटे निकले और बादशाह की शिकस्त हुई बल्कि वह उसी मैदान में मर गया।(इज़ालये औहाम पेज नं. 629)

11. कुर्आन शरीफ़ में गन्दी गालियाँ भरी हैं और कुर्आन अ़ज़ीम सख़्त ज़बानी के तरीक़े को इस्तेमाल कर रहा है। (इज़ालए औहाम पेज नं. 26,28)

12. अपनी किताब 'बराहीने अहमदीया'के बारे में लिखता है:– बराहीने अह़मदीया ख़ुदा का कलाम है। (इज़ालए औहाम पेज नं. 533)

13. कामिल महदी न मूसा था न ईसा। (अरबईन पेज न 2,13) इन उलूल अ़ज़्म मुरसलीन का हादी होना तो दर किनार पूरे राह याफ़्ता भी न माना अब ख़ास़ हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में जो गुस्तख़ियाँ कीं उन में से चन्द यह हैं।

तर्जमा :– हमारा रब मसीह है मत कहो और देखो رَبُّنَا الْمَسِيْحُ 14 ऐ ईसाई मिशनरयो! अब कि आज तुम में एक है जो उस मसीह से बढ़ कर है। (मेआर पेज नं. 13)

15. ख़ुदा ने इस उम्मत में से मसीहे मौऊ़द भेजा जो उस पहले मसीह से अपनी तमाम शान में बहुत बढ़ कर है। और उस ने दूसरे मसीह का नाम गुलाम अह़मद रखा तो यह इशारा है कि ईसाईयों का मसीह कैसा ख़ुदा है जो अह़मद के अदना गुलाम से भी मुक़ाबला नहीं कर सकता यानी वह कैसा मसीह है जो अपने कुर्ब और शफ़ाअ़त के मरतबे में अह़मद के ग़ुलाम से भी कमतर है।(कशती पेज न 13)

16. मसीले मूसा मूसा से बढ़ कर और मसील इब्ने मरयम इब्ने मरयम से बढ़ कर।(कशती पेज नं. 13)

17. ख़ुदा ने मुझे ख़बर दी है कि मसीह मुहम्मदी मसीहे मूसवी से अफ़ज़ल है (दाफ़ेउल बला पेज नं.20)

18. अब ख़ुदा बतलाता है कि देखो मैं उसका सानी पैदा करूँगा जो उससे भी बेहतर है। जो गुलाम अह़मद है य़ानी अह़मद का ग़ुलाम।

इब्ने मरयम के ज़िक्र को छोड़ो
उससे बेहतर ग़ुलाम अह़मद है

(इज़ालए औहाम पेज न 688)

यह बातें शायराना नहीं बल्कि वाक़ई हैं। और अगर तजर्बे की रू से मैं ख़ुदा की ताईद मसीह इब्ने मरयम से बढ़कर मेरे साथ न हो तो मैं झूठा हूँ। (दाफ़िउल बला पेज नं. 20)

19. ख़ुदा तो ब–पाबन्दी अपने वादों के हर चीज़ पर क़ादिर है लेकिन ऐसे शख़्स को दोबारा दुनिया में नहीं ला सकता जिसके पहले फ़ितने ने ही दुनिया को तबाह कर दिया। (दाफ़िउल बला पेज नं. 15)

20. मरयम का बेटा कौशल्या के बेटे से कुछ ज्यादत नहीं रखता। (अनजाम आथम पेज नं. 41)

21. मुझे क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है कि अगर मसीह इब्ने मरयम मेरे ज़माने में होता तो वह काम जो मैं कर सकता हूँ वह हरगिज़ न कर सकता और वह निशान जो मुझ से ज़ाहिर हो रहे हैं वह हरगिज़ दिखला न सकता। (कशतीए नूह पेज नं. 56)

22. यहूद तो हज़रते ईसा के मामले में और उनकी पेशगोईयों के बारे में ऐसे क़वी एअ़तराज़ रखते हैं कि हम भी जवाब में हैरान हैं बग़ैर उस के कि यह कह दें कि ज़रूर ईसा नबी हैं क्यूँकि क़ुर्आन

ने उसको नबी क़रार दिया है और कोई दलील उनकी नुबुव्वत पर क़ायम नहीं हो सकती बल्कि इबताले नुबुव्वत (यानी नबी न होने पर)पर कई दलाइल क़ाइम हैं। (एजाज़े अहमदी पेज नं.13)

मिर्ज़ा ने अपनी इस बात में यहूदियों की इस बात को ठीक होना बताया और कुर्आन शरीफ़ पर भी साथ ही यह एअ्तेराज़ लगाया कि कुर्आन ऐसी बात की तालीम दे रहा है कि जिसको बहुत सी दलीलों से बातिल किया जा चुका है।

23. ईसाई तो उनकी (हज़रते ईसा अलैहिस्सलाम की)ख़ुदाई को रोते हैं मगर यहाँ नुबुव्वत भी उनकी साबित नहीं। (एअ्जाज़ अहमदी पेज नं.14)

24. कभी आपको शैतानी इलहाम भी होते थे। (एअ्जाज़ अहमदी पेज नं. 24)

मुसलमानों तुम्हें मअ्लूम है कि शैतानी इलहाम किस को होता है।

कुर्आन में आया है कि –

تَنَزَّلُ عَلٰی كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ

तर्जमा :– "बड़े बुहतान वाले सख़्त गुनाहगार पर शैतान उतरते हैं।"

इससे अन्दाज़ा हुआ कि शैतानी इलहाम सिर्फ़ गुनाहगारों को ही हो सकता हैं। लेकिन मिर्ज़ा ने हज़रते ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इस तरह की बातें लिखकर उनकी तौहीन की हैं।

25. उनकी अकसर पेशीनगोईयाँ ग़लती से पुर हैं। (एअ्जाज़े अहमदी)

26. अफ़सोस से कहना पड़ता है कि उनकी पेशीनगोईयों पर यहूद के सख़्त एतेराज़ हैं जो हम किसी तरह उनको दफ़ा नहीं कर सकते (एअ्जाज़े अहमदी पेज नं.13)

27. हाय किसके आगे यह मातम ले जायें कि हज़रते ईसा अलैहिस्सलाम की तीन पेशीनगोईयाँ साफ़ तौर पर झूठी निकलीं (एअ्जाज़े अहमदी पेज नं.14)

28. मुमकिन नहीं कि नबियों की पेशीनगोईयाँ टल जायें (कशती–ए–नूह पेज नं.5)

29. हम मसीह को बेशक एक रास्त बाज़ आदमी जानते हैं कि अपने ज़माने के अकसर लोगों से अलबत्ता अच्छा था (वल्लाहु तआलाआ अअ्लम) मगर वह हक़ीक़ी मुनजी(नजात दिलाने वाला) न था। हक़ीक़ी मुनजी वह है जो हिजाज़ में पैदा हुआ था और अब भी आया मगर बरोज़ के तौर पर। ख़ाकसार ग़ुलाम अहमद अज़ क़ादियान (दाफ़िउल बला पेज नं. 3)

30. यह हमारा बयान नेक ज़नी के तौर पर है वर्ना मुमकिन है कि ईसा के वक़्त में बाज़ रास्तबाज़ अपनी रास्तबाज़ी में ईसा से भी आला हों। (दाफ़िउल बला पेज नं 3)

31. मसीह की रास्तबाज़ी अपने ज़माने में दूसरे रास्तबाज़ों से बढ़ कर साबित नहीं होती बल्कि यहया को उस पर एक फ़ज़ीलत है क्यूँकि वह शराब न पीता था और कभी न सुना कि किसी फ़ाहिशा औरत ने अपनी कमाई के माल से उसके सर पर इत्र मला था या हाथों और अपने सर के बालों से उसके बदन को छुआ था या कोई बे तअल्लुक़ जवान औरत उसकी ख़िदमत करती थी। इसी वजह से ख़ुदा ने कुर्आन में यहया का नाम हसूर रखा मगर मसीह का न रखा क्यों कि ऐसे क़िस्से उस नाम के रखने से मानेअ् (रुकावट) थे। (दाफ़िउल बला पेज नं.4)

32. आप का कन्जरियों से मैलान और सुहबत भी शायद इसी वजह से हो कि जद्दी मुनासबत दरमियान है वर्ना कोई परहेज़गार इन्सान एक जवान कन्जरी को यह मौक़ा नहीं दे सकता कि वह

उसके सर पर अपने नापाक हाथ लगा दे और ज़िनाकरी की कमाई का पलीद इत्र उसके सर पर मले और अपने बालों को उसके पैरों पर मले। समझने वाले समझ लें कि ऐसा इन्सान किस चलन का आदमी हो सकता है।(ज़मीमा अनजाम आथम पेज न 7) इस के अलावा इस रिसाले में उस मुक़द्दस रसूल की शान में बहुत बुरे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किये हैं जैसे शरीर,मक्कार बद–अक़्ल, फ़हशगो, बदज़बान झूटा,चोर,ख़लल दिमाग़ वाला,बदकि़स्मत,निरा फ़रेबी और पैरो शैतान वग़ैरा। और हद यह कि मिर्ज़ा ने उनके ख़ानदान को भी नहीं बख़्शा। लिखता है कि :–

33. आपका ख़ानदान भी निहायत पाक व मुतह्हर है तीन दादियाँ और नानियाँ आपकी ज़िनाकार और कसबी औरतें थीं जिनके ख़ून से आपका वुजूद हुआ। (अन्जाम आथम)

34. यसू मसीह के चार भाई और दो बहनें थीं। यह सब यसू के हक़ीक़ी बहनें थीं यानी युसूफ़ और मरयम की औलाद थे।(कशती–ए–नूह)

35. हक़ बात यह है कि आप से कोई मोजिज़ा न हुआ। (अनजाम आथम)

36. उस ज़माने में एक तालाब से बड़े निशान ज़ाहिर होते थे। आप से कोई मोजिज़ा हुआ भी तो वह आपका नहीं उस तालाब का है । आप के हाथ में सिवा मक्र व फ़रेब के कुछ न था।(अन्जाम अथम पेज न 7)

इन तमाम बातों से अच्छी तरह अन्दाज़ा हो गया होगा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी काफ़िर है और उसके मानने वाले भी काफ़िर हैं।

37. तो सिवाये इसके अगर मसीह के अस्ली कामों का उन हवाशी से अलग कर के देखा जाये जो महज़ इफ़्तरा या ग़लतफ़हमी से गढ़े हैं तो कोई अजूबा नज़र नहीं आता बल्कि मसीह के मोजिज़ात पर जिस क़दर एअ्तेराज़ हैं मैं नहीं समझ सकता कि किसी और नबी के ख़वारिक़ पर ऐसे शुबहात हों क्या तालाब का क़िस्सा मसीही मोजिज़ात की रौनक़ नहीं दूर करता।

इन बातों के अलावा क़ादियानी ने और भी बहुत सी तौहीन से भरी हुई बातें लिखी हैं कि जिन को जान कर कोई मुसलमान उसे मुसलमान नहीं कह सकता और न उसे काफ़िर समझने में शक कर सकता है। शरीअत का हुक्म है कि :

مَنْ شَكَّ فِیْ عَذَابِہٖ و كُفْرِہٖ فَقَدْ كَفَرَ

तर्जमा :–"जो उन ख़बासतों को जान कर उसके अज़ाब और कुफ़्र में शक करे वह ख़ुद काफ़िर है।"

2.राफ़िज़ी फ़िरक़ा

राफ़िज़ी मज़हब के बारे में शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने अपनी किताब 'तुहफ़ए इसना अशरीया' में बहुत तफ़सील से लिखा है। इस वक़्त राफ़िज़ियों के बारे में कुछ थोड़ी सी बातें लिखी जाती हैं।

(1) राफ़िज़ी फ़िरक़े के लोग कुछ सहाबियों को छोड़ कर ज़्यादा तर सहाबए किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम की शान में गुस्ताख़ियाँ करते और गालियों की बकवास करते हैं बल्कि कुछ को छोड़ कर सबको काफ़िर और मुनाफ़िक़ कहते हैं।

(2) यह लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पहले ख़लीफ़ा हज़रते अबूबक्र सिद्दीक़ रदियल्लाहु तआला अन्हु, दूसरे ख़लीफ़ा हज़रते उमर फ़ारूक़ रदियल्लाहु तआला अन्हु और तीसरे ख़लीफ़ा हज़रते उसमाने ग़नी रदियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में यह कहते हैं कि उन लोगों ने

ग़सब कर के ख़िलाफ़त हासिल की है। यह लोग ख़िलाफ़त का हक़दार हज़रते अली रदियल्लाहु तआला अन्हु को मानते हैं। हज़रते अली ने उन तीनों ख़ुलफ़ा की तारीफ़ें और बड़ाईयाँ की है उनको राफ़िज़ी लोग'तक़िय्या'और बुज़दिली कहते हैं। यह हज़रते अली पर एक बहुत बड़ा इलज़ाम है क्यूँकि यह कैसे मुमकिन है कि एक तरफ़ तो हज़रते अली शेरे ख़ुदा उन सहाबियों को ग़ासिब, काफ़िर और मुनाफ़िक़ समझें और दूसरी तरफ़ उनकी तारीफ़ करें और उन्हें ख़लीफ़ा मानकर उनके हाथों पर बैअत करें।

फिर यह कि क़ुर्आन उन सहाबियों को अच्छे और ऊँचे ख़िताब से याद करता है और उनकी पैरवी करने वालों के बारे में यह फ़रमाया है कि अल्लाह उनसे राज़ी वह अल्लाह से राज़ी क्या काफ़िरों और मुनाफ़िक़ों के लिये अल्लाह तआला के ऐसे फ़रमान हो सकते हैं?हरगिज़ नहीं।

अब उन सहाबियों के बारे में कुछ ख़ास बातें बग़ौर मुलाहज़ा फ़रमायें :–

एक यह कि हज़रते अली शेरे ख़ुदा ने अपनी चहीती बेटी हज़रते उमर फ़ारूक़ के निकाह में दी। राफ़िज़ी फ़िरक़ा यह कह कर उन पर इल्ज़ाम लगाता है कि उन्होंने तक़िय्या किया था। सोचने की बात यह है कि क्या कोई मुसलमान किसी काफ़िर को अपनी बेटी दे सकता है?कभी नहीं। फिर ऐसे पाक लोग जिन्होंने इस्लाम के लिये अपनी जानें दी हों और जिनके बारे में

لَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ

तर्जमा :– " किसी मलामत करने वाले की मलामत का अन्देशा न करेंगे।"

कहा गया हो। और हक़ बात कहने में हमेशा निडर रहे हों वह कैसे तक़िय्या कर सकते हैं?

यह कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दो शहज़ादियाँ यके बाद दीगरे हज़रत उसमान जुन्नूरैन के निकाह में आईं।

यह कि हज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ और हज़रते उमर फ़ारूक़ रदियल्लाहु तआला अन्हुमा की साहिबज़ादियाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के निकाह में आईं।

पहले,दूसरे और तीसरे ख़ुलफ़ा को हुज़ूर से ऐसे रिश्ते और हुज़ूर के इन सहाबियों से ऐसे रिश्ते के होते हुए अगर कोई उन सहाबियों की तौहीन करे तो आप ख़ुद फ़ैसला करें कि वह क्या होगा?

इस फ़िरक़े का एक अक़ीदा यह है कि अल्लाह तआला पर असलह' वाजिब है। यानी जो काम बन्दे के हक़ में नफ़ा देने वाला हो अल्लाह पर वही करना वाजिब है और उसे वही करना पड़ेगा। इस फ़िरक़े का एक अक़ीदा यह भी है कि इमाम नबियों से अफ़ज़ल है। (जबकि यह मानना कुफ़्र है)

राफ़िज़ियों का एक अक़ीदा यह कि क़ुर्आन मजीद महफ़ूज़ नहीं बल्कि उसमें से कुछ पारे या सूरतें या आयतें या कुछ ,लफ़्ज़ हज़रते उसमाने ग़नी या दूसरे सहाबा ने निकाल दिये।(मगर तअज्जुब है कि मौला अली रदियल्लाहु तआला अन्हु ने भी उसे नाक़िस ही छोड़ा और यह अक़ीदा भी कुफ़्र है कि क़ुर्आन मजीद का इन्कार है।)

राफ़िज़ीयों का एक अक़ीदा यह भी है कि अल्लाह तआला कोई हुक्म देता है फ़िर यह मालूम कर के कि यह मसलेहत उसके ख़िलाफ़ या उसके ग़ैर में है पछताता है।(और यह भी यक़ीनी कुफ़्र है कि ख़ुदा को जाहिल बताना है।)

राफ़िज़ियों का एक अक़ीदा यह है कि नेकियों का ख़ालिक़ (पैदा कर ने वाला)अल्लाह है और बुराईयों के ख़ालिक़ यह खुद हैं। (मजूसियों ने तो दो ही ख़लिक़ माने थे 'यज़दान' को अच्छाई का और बुराई का ख़ालिक़ 'अहरमन'को। इस तरह से तो मजूसियों के दो ही ख़ालिक़ हुए लेकिन राफ़िज़ियों के तो इस अक़ीदे से अरबों और संखों ख़ालिक़ हुए।)

इस तरह हम देखते हैं कि राफ़िज़ी अपने इन बुनियादी अक़ीदों की बिना पर काफ़िर व मुरतद हैं व गुमराह व बद्दीन हैं। इनके दीन की बुनियाद ऐसे गन्दे अक़ीदे और सहाबा की तौहीन है।

3. वहाबी फ़िरक़ा

यह एक नया फ़िरक़ा है जो सन बारह सौ नौ हिजरी (1209) मे पैदा हुआ। इस मज़हब का बानी अ़ब्दुल वह्हाब नजदी का बेटा मुहम्मद था। उसने तमाम अ़रब और ख़ास कर हरमैन शरीफ़ैन में बहुत ज़्यादा फ़ितने फैलाये। आ़लिमों को क़त्ल किया। सहाबा,इमामों, अ़लिमों और शहीदों की क़ब्रें खोद डालीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के रौज़े का नाम सनमे अक़बर (बड़ा बुत)रखा था और तरह तरह के ज़ुल्म किये। जैसा कि सही हदीस मे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने ख़बर दी थी कि नज्द से फितने उठेंगे और शैतान का गिरोह निकलेगा। वह गिरोह बारह सौ बरस बाद ज़ाहिर हुआ। अ़ल्लामा शामी रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैहि ने इसे ख़ारिजी बताया।

इस अ़ब्दुल वह्हाब के बेटे ने एक किताब लिखी जिसका नाम 'किताबुत्तौहीद'रखा। उसका तर्जमा हिन्दुस्तान में इसमाईल देहलवी ने किया जिसका नाम 'तक़वीयतुल ईमान' रखा।और हिन्दुस्तान में वहाबियत उसी ने फ़ैलाई। उन वहाबियों का एक बहुत बड़ा अक़ीदा यह है जो उनके मज़हब पर न हो वह काफ़िर मुशरिक है। यही वजह है कि बात बात पर बिला वजह मुसलमानों पर कुफ़ और शिर्क का हुक्म लगाते और तमाम दुनिया को मुशरिक बताते हैं। चुनाँचे तक़वीयतुल ईमान पेज न .45 में वह हदीस लिखकर कि आख़िर ज़माने में अल्लाह तआ़ला एक हवा भेजेगा जो सारी दुनिया से मुसलमानों को उठा लेगी उसके बाद साफ़ लिख दिया सो पैग़म्बरे ख़ुदा के फ़रमाने के मुताबिक़ हुआ यानी वह हवा चल गई और कोई मुसलमान रूए ज़मीन पर न रहा। मगर यह न समझा कि इस सूरत में खुद भी काफ़िर हो गया।

इस मज़हब की बुनियाद अल्लाह तआ़ला और उसके महबूबों की तौहीन और तज़लील पर है। यह लोग हर चीज़ में वही पहलू इख़्तियार करेंगे। जिससे शान घटती हो। इस मज़हब के सरगिरोहों के कुछ क़ौल नक़्ल किये जाते हैं। ताकि हमारे अ़वाम भाई उनके दिलों की ख़बासतों को जान कर उनके फ़रेब और धोके से बचते रहें और उनके जुब्बा और दस्तार पर न जायें।

बरादराने इस्लाम! ग़ौर से सुनें और ईमान की तराज़ू में तौलें कि ईमान से अ़ज़ीज़ मुसलमान के नज़दीक कोई चीज़ नहीं और ईमान अल्लाह और रसूल की ताज़ीम ही का नाम है। ईमान के साथ जिसमें जितने फ़ज़ाइल पाये जायें वह उसी क़द्र ज्यादा फ़ज़ीलत रखता है और ईमान नहीं तो मुसलमानों के नज़दीक वह कुछ वक़अ़त (हैसियत)नहीं रखता अगरचे कितना ही बड़ा आ़लिम,ज़ाहिद और तारिकुद्दुनिया बनता हो। मतलब यह है कि उनके मोलवी, आ़लिम, फ़ाज़िल होने की वजह से तुम उन्हें अपना पेशवा न समझो जब कि वह अल्लाह और उसके रसूलों के दुश्मन हैं। यहूदियों,

नसरानियों और हिन्दुओं में भी उनके मज़हब के आलिम और तारिकुद्दुनिया होते हैं तो क्या तुम उनको अपना पेशवा तसलीम कर सकते हो? हरगिज़ नहीं। इसी तरह यह ला मज़हब औ बदमज़हब तुम्हारे किसी तरह7 पेशवा नहीं हो सकते।

अब वहाबियों के कुछ क़ौल पेश किये जाते हैं।

(1)ईज़ाहुल हक़ सफ़ा न.35,36,में है कि

تنزیہ اوتعالیٰ از زمان ومکان وجہت واثبات رویت بلا جہت ومحاذات ہمہ از قبیل
بدعات حقیقہ است اگر صاحب آں اعتقادات مذکورہ از جنس عقائد دینیہ می شمارد

तर्जमा :– "अल्लाह तआ़ला का वक़्त और जगह और सम्त (दिशा)से पाक होना और उसका दीदार बिला सम्त और मुहाज़ात (बिला आमने सामने)के मानना सब हक़ीक़ी बिदअ़तों की क़िस्म से हैं,अगर वह शख़्स ज़िक्र किये गये एअ़्तिक़ादात को अ़क़ाइदे दीनिया की क़िस्म से मानता है।"

इसमें साफ़ लिखा हुआ है कि अल्लाह तआ़ला को वक़्त जगह और सम्त से पाक जानना और उसका दीदार बिला कैफ़ मानना बिदअ़त और गुमराही है। ह़ालाँकि यह तमाम अहले सुन्नत का अक़ीदा है तो उस कहने वाले ने तमाम अहले सुन्नत के पेशवाओं को गुमराह और बिदअ़ती बताया। दुर्रेमुख़्तार, बहरुराईक़ और आलमगीरी में है कि अल्लाह तआ़ला के लिए जो मकान साबित करे वह काफ़िर है।

(2)तक़वीयतुल ईमान सफ़ा न. 60 में इस ह़दीस

اَرَاَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِىْ اَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهٗ

(**तर्जमा** :– "ज़रा ख़्याल तो कर कि अगर तू गुज़रे मेरी क़ब्र पर क्या तू उसको सजदा करेगा?"के लिखने के बाद (ف)लिख कर फ़ायदा यह जड़ दिया कि मैं भी एक दिन मर कर मिट्टी में मिलने वाला हूँ के बाद ह़ालाँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि :–

اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلَ اَجْسَادَالْاَنْبِيَاءِ

तर्जमा :– "अल्लाह तआ़ला ने अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के ज़िस्मों का खाना ज़मीन पर ह़राम कर दिया है" और

فَنَبِىُّ اللّٰهِ حَىٌّ يُرْزَقُ

तर्जमा : तो अल्लाह के नबी ज़िन्दा हैं रोज़ी दिये जाते हैं।

इन बातों से पता चलता है कि अल्लाह के नबी ज़िन्दा हैं और रोज़ी दिए जाते हैं।

(3)तक़वीयतुल ईमान सफ़ा 19 में है कि

"हमारा जब ख़ालिक़ अल्लाह है और उसने हमको पैदा किया तो हमको भी चाहिए कि अपने हर कामों पर उसी को पुकारें और किसी से हमको क्या काम जैसे कोई एक बादशाह का गुलाम हो चुका तो वह अपने हर काम का इलाक़ा उसी से रखता है दूसरे बादशाह से भी नहीं रखता और किसी चुहड़े चमार का तो क्या ज़िक्र"

अम्बिया–ए–किराम और औलियाये इज़ाम की शान में ऐसे मलऊ़न अलफ़ाज़ इस्तेमाल करना क्या मुसलमान की शान हो सकती है ?

(4)सिराते मुस्तक़ीम–सफ़ा न. 95 में है ظلمت بعضها فوق بعض ब मुक़तज़ाए'

तर्जमा :– अंधेरे कुछ अंधेरों से बढ़ कर होते हैं) के मुताबिक

از وسوسۂ زنا خیال مجامعت زوجۂ خود بہتر است وصرف ہمت بسوئے شیخ و امثال آں از معظمین گو جناب رسالت مآب
باشند بچندیں مرتبہ بدتر از استغراق در صورت گاؤ خر خود است

तर्जमा :– "औरतों के ज़िना करने के ख़्याल से अपनी बीवी से वती (हमबिस्तरी) करना बेहतर है और अपने ख़्याल को अपने शैख़ वग़ैरा बुज़ुर्गाने दीन अगरचे सरकारे रिसालत मआब ही क्यूँ न हों अपनी गाय और गधे की सूरत में डूब जाने से कई गुना ज़्यादा बुरा है।"

मुसलमानो!यह हैं वहाबियों के गुरू घंटाल के बेहूदा कलिमात और वह भी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की शान में। जिसके दिल में राई बराबर भी ईमान है वह ज़रूर यह कहेगा कि इस कौल में गुस्ताख़ी ज़रूर है। (5) तकवीयतुल ईमान सफ़ा न. 10में है कि :–

"रोज़ी की कशाइश और तंगी करनी और तन्दरुस्त व बीमार कर देना,इक़बाल व इदबार देना,हाजतें बर लानी, बलायें टालनी,मुश्किल में दस्तगीरी करनी यही सब अल्लाह की शान है और किसी अम्बिया औलिया भूत परी की यह शान नहीं जो किसी को ऐसा तसर्रुफ़ साबित करे और उससे मुरादें माँगे और मुसीबत के वक़्त उसको पुकारे सो वह मुशरिक हो जाता है फिर ख़्वाह यूँ समझे कि अल्लाह ने उनको कुदरत बख़्शी है हर तरह शिर्क है।"जब कि कुर्आन शरीफ़ में यह है कि :– اَغْنٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ

तर्जमा :– "अल्लाह और रसूल ने अपने फ़ज़्ल से उनको ग़नी कर दिया"

इससे पता चलता है कि अल्लाह ने अपने नबी को तसर्रुफ़ का इख़्तियार दिया है। और फिर कुर्आन में हज़रते ईसा अ़लैहिस्सलाम के बारे में यह आया है कि–

وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِيْ

"ऐ ईसा ! तू मेरे हुक्म से मादरज़ाद अन्धे और सफ़ेद दाग़ वाले को अच्छा कर देता है। एक दूसरी जगह कुर्आन ने हज़रते ईसा अ़लैहिस्सलाम के फ़रमान को इस तरह बताया है कि:–

اُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ

तर्जमा :– मैं अल्लाह के हुक्म से अच्छा करता हूँ मादरज़ाद अंधे और सफ़ेद दाग़ वालों को और मुर्दों को जिला देता हूँ"

अब कुर्आन का तो यह हुक्म है और वहाबी यह कहते हैं कि तन्दुरुस्त करना अल्लाह ही की शान है जो किसी को ऐसा तसर्रुफ़ साबित करे मुशरिक है। अब वहाबी बतायें कि अल्लाह तआ़ला ने ऐसा तसर्रुफ़ हज़रते ईसा अ़लैहिस्सलाम के लिए साबित किया तो उस पर क्या हुक्म लगाते हैं और लुत्फ़ यह कि अल्लाह तआ़ला ने अगर उनको कुदरत बख़्शी है जब भी शिर्क है तो मालूम कि उन के यहाँ इस्लाम किस चीज़ का नाम है?

(6) तक़वीयतुल ईमान सफ़ा 11 में है कि :–

"गिर्द व पेश के जंगल का अदब करना यानी वहाँ शिकार न करना दरख़्त न काटना यह काम अल्लाह ने अपनी इबादत के लिये बनाये हैं फिर जो कोई किसी पैग़म्बर या भूत के मकानों के गिर्द व पेश के जंगल का अदब करे उस पर शिर्क साबित है ख़्वाह यूँ समझे कि यह आप ही इस ताज़ीम के लाइक़ या यूँ कि उनकी इस ताज़ीम से अल्लाह ख़ुश होता है हर तरह शिर्क है।"

कई सही हदीसों में इरशाद फ़रमाया कि इबराहीम ने मक्का को हरम बनाया और मैंने मदीने को हरम किया। उसके बबूल के दरख़्त न काटे जायें और उसका शिकार न किया जाये। मुसलमानों ! ईमान से देखना कि उस शिर्क फ़रोश का शिर्क कहाँ तक पहुँचता है ?तुमने देखा कि इस गुस्ताख़ ने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर क्या हुक्म जड़ा।

(7) **तक़वीयतुल ईमान** सफ़ा न. 8 में है कि :–

पैग़म्बरे ख़ुदा के वक़्त में काफ़िर भी अपने बुतों को अल्लाह के बराबर नहीं जानते थे बल्कि उसी का मख़लूक़ और उसका बन्दा समझते थे और उनको उसके मुक़ाबिल की ताक़त साबित नहीं करते थे मगर यही पुकारना और मन्नत माननी और नज़र व नियाज़ करनी और उनको अपना वकील व सिफ़ारिशी समझना यही उनका कुफ़ व शिर्क था सो जो कोई किसी से यह मुआमला करेगा कि उसको अल्लाह का बन्दा व मख़लूक़ ही समझे सो अबू जहल और वह शिर्क में बराबर हैं।"

यानी जो नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत माने कि हुज़ूर अल्लाह तआला के दरबार में हमारी सिफ़ारिश फ़रमायेंगे तो मआज़ल्लाह उसके नज़दीक वह अबू जहल के बराबर मुशरिक है। इसमें शफ़ाअत के मसअ्ले का सिर्फ़ इन्कार ही नहीं बल्कि उसको शिर्क साबित किया और तमाम मुसलमानों सहाबा,ताबेईन,दीन के इमाम और औलियाए सालेहीन सब को मुशरिक और अबू जहल बना दिया।

(8) **तक़वीयतुल ईमान** सफ़ा न. 58 में है कि :–

"कोइ शख़्स कहे फ़लाने दरख़्त में कितने पत्ते हैं या आसमान में कितने तारे हैं तो उसके जवाब में यह न कहे कि अल्लाह और रसूल जानें क्योंकि ग़ैब की बात अल्लाह ही जानता है रसूल को क्या ख़बर?"

सुबहानल्लाह ख़ुदाई इसी काम का नाम रह गया कि किसी पेड़ के पत्ते की तादाद जान ली जाये

(9) **तक़वीयतुल ईमान** सफ़ा न.7 में यह है कि :– अल्लाह साहब ने किसी को आलम में तसर्रुफ़ करने की क़ुदरत नहीं दी इसमें अम्बियाये किराम के मोजिज़ात और औलियाए इज़ाम की करामत का साफ़ इन्कार है। अल्लाह फ़रमाता है कि :– وَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرًا

तर्जमा :– " क़सम फ़रिश्तों की जो कामों की तदबीर करते हैं"। क़ुर्आन तो यह कहता है। लेकिन तक़वीयतुल ईमान वाला क़ुर्आन का साफ़ इन्कार कर रहा है।

(10) **तक़वीयतुल ईमान** सफ़ा 22 में है कि :–

"जिसका नाम मुहम्मद या अली है वह किसी चीज़ का मुख़्तार नहीं"। तअज्जुब है कि वहाबी साहब तो अपने घर की तमाम चीज़ों का इख़्तियार रखें और मालिके हर दोसरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी चीज़ के मुख़्तार न हों। इस गिरोह का एक मशहूर अक़ीदा यह है कि अल्लाह तआला झूठ बोल सकता है बल्कि उनके एक सरग़ना ने तो अपने एक फ़तवे में लिख दिया कि:–

'वुक़ूए किज़्ब के माना दुरुस्त हो गये जो यह कहे कि अल्लाह तआला झूठ बोल चुका ऐसे की तज़लील(ज़लील करना)और तफ़सीक़ (फ़ासिक़ कहने) से मामून करने चाहिये।'

सुबहानल्लाह ख़ुदा को झूठा माना फिर भी इस्लाम,सुन्नियत,और सलाह किसी बात में फ़र्क़ न आया। मालूम नहीं इन लोगों ने किस चीज़ को ख़ुदा ठहरा लिया है।

एक अक़ीदा उनका यह है कि नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को 'खातमुन्नबीय्यीन 'व माना आख़िररुल अम्बिया नहीं मानते और यह सरीह कुफ़्रहै।

(11)चुनाँचे तहज़ीरुन्नास सफ़ा न.2 में है कि :– अ़वाम के ख़्याल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाह तआ़ला अ़लैहि वसल्लम का ख़ातम होना बईं माना है कि अपको ज़माना अम्बियायए साबिक़ के बाद और आप सब में आख़िर नबी हैं मगर अहले फ़हम पर रौशन होगा कि तक़द्दुम या तअख़्ख़ुर बिज़्ज़ात कुछ फ़ज़ीलत नहीं। फिर मक़ामे मदह में यह फ़रमाना

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ

तर्जमा :– "हाँ अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों में पिछले हैं।"

इस सूरत में क्यों कर सही हो सकता है ? हाँ अगर इस वस्फ़ को औसाफ़े मदह में से न कहे और इस मक़ाम को मक़ामे मदह न क़रार दीजिये तो अलबत्ता ख़ातिमीयत ब एअ़्तेबारे तअख़्ख़ुरे ज़माना सहीह हो सकती है।

पहले तो इस क़ाइल ने ख़ातमुन्नबीय्यीन के मअ़्नी तमाम अम्बिया से ज़माने के एतिबार से मुतअख़्ख़र होने को अ़वाम का ख़्याल कहा और यह कहा कि अहले फ़हम पर रौशन है कि इसमें बिज़्ज़ात कुछ फ़ज़ीलत नहीं हालाँकि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने ख़ातमुन्नबीय्यीन के यही मअ़्ना कसरत से हदीसों में इरशाद फ़रमाये तो मआ़ज़ल्लाह इस क़ाइल ने तो हुज़ूर को अ़वाम में दाख़िल किया और अहले फ़हम से ख़ारिज किया। फिर ख़त्मे ज़मानी को मुतलक़न फ़ज़ीलत से ख़ारिज किया हालाँकि इसी तअख़्ख़ुरे ज़मानी को हुज़ूर ने मक़ामे मदह में ज़िक्र फ़रमाया फ़िर यह कि **तहज़ीरुन्नास** सफ़ा न. 4 में लिखा कि –

" आप मौसूफ़ ब वस्फ़े नुबुव्वत बिज़्ज़ात हैं और सिवा आप के और नबी मौसूफ़ ब वस्फ़ नुबुव्वत बिल अ़र्ज़" **तहज़ीरुन्नास** सफ़ा न. 16 पर है कि बल्कि बिलफ़र्ज़ आपके ज़माने में भी कहीं और कोई नबी हो आपका ख़ातम होना बदस्तूर बाक़ी रहता है"।

तहज़ीरुन्नास सफ़ा न. 33 पर है कि –

"बल्कि अगर बिलफ़र्ज़ बाद ज़मानये नबी भी कोई नबी पैदा हो तो भी ख़ातमीयते मुहम्मदी में कुछ फ़र्क़ न आयेगा चे जाये कि आपके मुआ़सिर (एक वक़्त में रहने वाले)किसी और ज़मीन में था फ़र्ज़ कीजिये उसी ज़मीन में कोई और नबी तजवीज़ किया जाये।"

लुत्फ़ यह कि इस क़ाइल ने उन तमाम ख़ुराफ़ात का ईजादे बन्दा होना ख़ुद तसलीम कर लिया।

तहज़ीरुन्नास सफ़ा न.34 पर है कि –

अगर ब वजहे कम इल्तेफ़ाती बड़ों का फ़हम किसी मज़मून तक न पहुँचा तो उनकी शान में क्या नुक़सान आ गया और किसी किसी तिफ़्ले नादान ने कोई ठिकाने की बात कह दी तो क्या इतनी बात से वह अ़ज़ीमुश्शान हो गया?

गाह बाशद कि कोदके नादाँ
ब ग़लत बर हदफ़ ज़नद तीरे

तर्जमा :– "कभी ऐसा होता है कि नादान बच्चा ग़लती से निशाने पर कोई तीर मार देता है।"

"हाँ बादे वुज़ूहे हक़ (हक़ की वज़ाहत के बाद) अगर फ़क़त इस वजह से कि यह बात मैंने

कही और वह अगले कह गये थे मेरी न मानें और वह पुरानी बात गाये जायें तो क़तए नज़र इसके कि क़ानून महब्बते नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से यह बात बहुत बईद है। वैसे भी अपनी अक़्ल व फ़हम की ख़ूबी पर गवाही देनी है"।

यहीं से ज़ाहिर हो गया कि जो मअ़नी उसने तराशे सलफ़ में कहीं उसका पता नहीं और नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने से आज तक जो सब समझे हुए थे उसको अवाम का ख़्याल बता कर रद कर दिया कि इसमें कुछ फ़ज़ीलत नहीं। इस कहने वाले पर उलमाये हरमैन तय्यबैन ने जो फ़तवे दिये वह 'हुसामुल हरमैन' के देखने से ज़ाहिर हैं। और उसने खुद भी उसी किताब में सफ़ा 46 में अपना इस्लाम बराये नाम तसलीम किया।

मुद्दई लाख पे भारी है गवाही तेरी' इन नाम के मुसलमानों से अल्लाह बचाये।

12. 'तहज़ीरुन्नास' सफ़ा न. 5 पर है कि :–

"अम्बिया अपनी उम्मत से मुमताज़ होते हैं तो उलूम ही में मुमताज़ होते हैं बाक़ी रहा अ़मल उसमें बसा औक़ात बज़ाहिर उम्मती मसावी (बराबर)हो जाते हैं बल्कि बढ़ जाते हैं"।

13. और सुनिये इन क़ाइल साहब ने हुज़ूर की नुबुव्वत को क़दीम और दूसरे नबियों की नुबुव्वत को हादिस बताया जैसा कि सफ़ा न.7 पर है।

"क्यूँकि फ़रक़े क़िदमे नुबुव्वत और हुदूसे नुबुव्वत बावुजूद इत्तेहादे नौई खूब जब ही चसपाँ हो सकता है"।

क्या ज़ात व सिफ़ाते बारी के सिवा मुसलमानों के नज़दीक कोई और चीज़ भी क़दीम है। नुबुव्वत सिफ़त है और बिना मौसूफ़ के सिफ़त का पाया जाना मुहाल है। जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी ज़रूर हादिस न हुए बल्कि अज़ली ठहरे और जो अल्लाह और अल्लाह की सिफ़तों के सिवा को क़दीम माने ब इजमाये मुसलिमीन काफ़िर है।

14. इस गिरोह का आम तरीक़ा यह है कि जिस चीज़ में अल्लाह के महबूबों की फ़ज़ीलत ज़ाहिर हो तो उसे तरह तरह की झूटी तावीलों से बातिल करना चाहेंगे हर वह बात साबित करना चाहेंगे जिस में तनक़ीस और खोट हो जैसे :–

बराहीने क़ातेआ सफ़ा न. 51 में है कि –

"नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं"।

और इसको शैख़ मुहद्दिस अब्दुल हक़ देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की तरफ़ ग़लत मनसूब कर दिया। बल्कि उसी सफ़े पर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वुसअ़ते इल्म की बाबत यहाँ तक लिख दिया कि –

अल हासिल ग़ौर करना चाहिए कि शैतान कि व मलकुल मौत का हाल देख कर इल्मे मुहीते ज़मीन का फ़ख़रे आलम को ख़िलाफ़े नुसूसे क़तईया के बिला दलील महज़ क़ियासे फ़ासिदा से साबित करना शिर्क नहीं तो कौन सा हिस्सा ईमान का है। शैतान व मलकुल मौत को यह वुसअ़त नस से साबित हुई फ़ख़रे आलम की वुसअ़ते इल्म की कौन सी नस्से क़तई है जिस से तमाम नुसूस को रद कर के एक शिर्क साबित करता है शिर्क नहीं तो कौनसा हिस्सा ईमान का है"।

हर मुसलमान अपने ईमान की आँखों से देखें कि इस काइल ने इबलीसे लईन के इल्म को

नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म से ज़्यादा बताया या नहीं ?और शैतान को खुदा का शरीक माना या नहीं?हर ईमान वाला यही कहेगा कि ज़रूर बताया और ज़रूर माना। फिर इस शिर्क को नस से साबित किया। यहाँ तीनों बातें सरीह कुफ्र और इनका कहने वाला यक़ीनी तौर पर काफिर है। कौन मुसलमन उसके काफिर होने में शक करेगा ?

15. **हिफ़्ज़ुल ईमान** सफ़ा न.7 में है हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म के बारे में यह तकरीर की कि:–

"आप की ज़ाते मुकद्दसा पर इल्मे ग़ैब का हुक्म किया जाना अगर ब क़ौले ज़ैद सही हो तो दरयाफ्त तलब यह अम्र है कि इस ग़ैब से मुराद बाज़ (कुछ)ग़ैब हैं या कुल ग़ैब?अगर बाज़ उलूमे ग़ैबिया मुराद हैं तो इसमें हुज़ूर की क्या तख़सीस(ख़ुसूसियत)है?ऐसा इल्मे ग़ैब तो ज़ैद व अम्र बल्कि हर सबी (बच्चे)व मजनून(पागल)बल्कि जमीअ्(तमाम)हैवानात व बहाइम (चौपाया) के लिये भी हासिल है।"

मुसलमानों! ग़ौर करो कि इस शख़्स ने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में कैसी खुली हुई गुस्ताख़ी की कि हुज़ूर जैसा इल्म ज़ैद व अम्र तो दर किनार हर बच्चे और पागल बल्कि तमाम जानवरों और चौपायों के लिए हासिल होना कहा।क्या कोई भी ईमान वाला दिल ऐसे के काफिर होने में शक कर सकता है? हरगिज़ नहीं।

इस क़ौम का यह आम तरीक़ा है कि जिस चीज़ को अल्लाह और रसूल ने मना नहीं किया बल्कि क़ुर्आन और हदीस से उसका जाइज़ होना साबित है उसको नाजाइज़ कहना तो दर किनार उस पर शिर्क और बिदअत का हुक्म लगा देते हैं जैसे मीलाद शरीफ़ की मजलिस,क़ियाम, ईसाले सवाब,क़ब्रों की ज़ियारत,बारगाहे बेकस पनाह सरकारे मदीना तय्यबा व औलिया की रूहों से इस्तिमदाद (मदद चाहना)और मुसीबत के वक़्त नबियों और वलियों को पुकारना वग़ैरा बल्कि मीलाद शरीफ़ के बारे में तो ऐसा नापाक लफ़्ज़ लिखा है कि ऐसे नापाक अलफ़ाज़ रसूल के दुश्मन के अलावा कोई मोमिन नहीं लिख सकता। वह अलफ़ाज़ यह हैं।

16. **बराहीने क़ातिआ** सफ़ा न.148 में हैं।

"पस यह हर रोज़ इआदा (दोहराना)विलादत का तो मिस्ल हुनूद (हिन्दूओं) के कि स्वांग कन्हय्या की विलादत का हर साल कहते हैं या मिस्ल रवाफ़िज़ के कि नक़्ल शहादते अहले बैत हर साल मनाते हैं। मआज़ल्लाह स्वांग आपकी विलादत का ठहरा और ख़ुद हरकते क़बीहा क़ाबिले लौम व हराम व फ़िस्क़ है। बल्कि यह लोग उस क़ौम से बढ़ कर हुए। वह तो तारीख़ मुअय्यन पर करते है। इनके यहाँ कोई क़ैद ही नहीं। जब चाहें यह ख़ुराफ़ातें फ़र्ज़ी बनाते हैं।"

वहाबियों की और भी बहुत गन्दी गन्दी इबारते हैं जो दूसरी किताबों में देखी जा सकती हैं।

4.ग़ैर मुक़ल्लिदीन

यह भी वहाबियत की एक शाख़ है। वह चन्द बातें जो हाल में वहाबियों ने अल्लाह तआला और नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताख़ी के तौर पर बकी हैं वह ग़ैर मुक़ल्लिदीन से साबित नहीं। बाक़ी दूसरे तमाम अक़ीदों में दोनों शरीक हैं। और हाल के देवबन्दियों की इबारतों को देख भाल और जान बूझ कर उन्हें काफ़िर तसलीम नहीं करते और शरीअत का हुक्म है कि जो अल्लाह और रसूल की शान में गुस्ताख़ी करने वालों के काफ़िर होने में शक करे

वह भी काफ़िर है।

ग़ैर मुक़ल्लिदों का एक बुरा अक़ीदा यह है कि वह चारों मज़हबों (1)हनफ़ी(2)शाफ़िई(3)मालिकी (4)हम्बली से अलग और तमाम मुसलमानों से अलग थलग एक रास्ता निकाल कर तक़लीद को हराम और बिदअ़त कहते हैं और दीन के इमामों जैसे इमामे आज़म अबू हनीफ़ा इमामे शाफ़िई,इमामे मालिक और इमामे अहमद इब्ने हम्बल को बुरा भला कहते हैं। यह लोग इमामों की तक़लीद (पैरवी) नहीं करते बल्कि शैतान की करते हैं। ग़ैर मुक़ल्लिदीन 'तक़लीद'और 'क़ियास'का इन्कार करते हैं। जब कि मुतलक़ तक़लीद और क़ियास का इन्कार कुफ़्र है। इसलिये ग़ैर मुक़ल्लिदीन का मज़हब बातिल है।

नोट :– फ़रअ़ में अस्ल की तरह हुक्म को साबित करने को क़ियास कहते हैं। क़ियास क़ुर्आन और हदीस से साबित है।

ज़रूरी तम्बीह

वहाबियों के यहाँ बिदअ़त का बहुत चर्चा है। जिस चीज़ को देखिये बिदअ़त है। इसलिये मुनासिब यह है कि बता दिया जाये कि बिदअ़त किसे कहते हैं।

बिदअ़ते मज़मूमा व क़बीहा यानी ख़राब बिदअ़त वह है जो किसी सुन्नत के मुख़ालिफ़ हो और सुन्नत से टकराती हो और यह मकरूह या हराम है। और मुतलक़ बिदअ़त तो मुस्तहब बल्कि सुन्नत और वाजिब तक होती है। हज़रते अमीरुल मोमिनीन उ़मर फ़ारूक़ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु तरावीह के बारे में نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهٖ (**तर्जमा** :– यह अच्छी बिदअ़त है।)फ़रमाते है कि हालाँकि तरावीह सुन्नते मुअक्कदा है। जिस चीज़ की अस्ल शरीअ़त से साबित हो वह हरगिज़ बुरी बिदअ़त नहीं हो सकती। नहीं तो ख़ुद वहाबियों के मदरसे और इस मौजूदा ख़ास सूरत में उनके वाज़ के जलसे ज़रूर बिदअ़त होंगे। फ़िर यह वहाबी इन बिदअ़तों को क्यूँ नहीं छोड़ देते। मगर उनके यहाँ तो यह ठहरी है कि अल्लाह के महबूबों की अ़ज़मत की जितनी चीज़ें हैं सब बिदअ़त और जिसमें उनका मतलब हो वह हलाल और सुन्नत।

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

तर्जमा :– और नहीं है कोई ताक़त और क़ुव्वत मगर अल्लाह की तरफ़ से। मुख़्तसर यूँ समझिए कि बिदअ़त दो तरह की हुई एक अच्छी और दूसरी बुरी। बुरी बिदअ़त तो बहरहाल बुरी है और अगर कोई अच्छी नई बात यानी अच्छी नई बिदअ़त निकाली जाए' तो वह हर्गिज़ बुरी नहीं। बहुत साफ़ मिसाल इसकी यह है कि क़ुर्आन पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के दौर में कागज़ पर यूँ लिखा न था तो क्या क़ुर्आन का कागज़ पर लिखना बिदअ़त या नया काम कह के हराम क़रार दिया जाएगा हर्गिज़ नहीं। इसी तरह बहुत से नए जाएज़ काम ऐसे हैं जिन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने नहीं किया मगर बुज़ुर्गों ने उन्हें अच्छा जान कर शुरू किया। लिहाज़ा वह अच्छे काम बिदअ़त नहीं हैं बल्कि अच्छे हैं। यूँ भी शरीअ़त ने जिस काम का न तो हुक्म दिया न उसे मना किया उसे मुबाह कहते हैं और मुबाह के करने पर न गुनाह है न सवाब। हाँ अगर नियत अच्छी है तो सवाब और नियत अच्छी नहीं तो गुनाह होगा। लिहाज़ा हर नया काम बुरी बिदअ़त न हुई।

इमामत का बयान

इमामत की दो क़िस्मे है।

1. **इमामते सुग़रा** :– नमाज़ की इमामत का नाम इमामते सुग़रा है।

2. **इमामते कुबरा** :– नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नियाबत यानी क़ाइम मक़ाम काम करने को इमामते कुबरा कहते हैं।

इस तरह कि इमामों से मुसलमानों की तमाम दीनी और दुनियावी ज़रूरतें वाबस्ता हैं। इमाम जो भी अच्छे कामों का हुक्म दें उनकी पैरवी तमाम दुनिया के मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। इमाम के लिए आज़ाद आक़िल,बालिग़ क़ादिर और क़रशी होना.शर्त है।

राफ़िज़ी लोगों का मज़हब यह है कि इमाम के लिये हाशिमी,अलवी और मासूम होना शर्त है। इससे उनका मक़सद यह है कि तीनों ख़लीफ़ा जो हक़ पर हैं उनको ख़िलाफ़त से अलग करना चाहते हैं। जब कि तमाम सहाबए किराम और हज़रते अली रदियल्लाहु तआला अन्हुम और हज़रते इमाम हसन और हज़रते इमाम हुसैन रदियल्लहु तआला अन्हुमा ने पहला ख़लीफ़ा हज़रते अबूबक दूसरे ख़लीफ़ा हज़रते उमर तीसरे ख़लीफ़ा हज़रते उसमाने ग़नी रदियल्लाहु तआला अन्हुम को माना है।

राफ़िज़ी मज़हब में इमाम की शर्तों में से एक शर्त जो अलवी होने की बढ़ाई गई है उससे हज़रते अली भी इमाम नहीं हो सकते क्यूँकि अलवी उसे कहेंगे जो हज़रते अली की औलाद में से हो। राफ़िज़ी मज़हब में इमाम की शर्तों में एक शर्त इमाम का मासूम होना भी है जबकि मासूम होना अम्बिया और फ़रिश्तों के लिए ख़ास है।

मसअला :– इमाम होने के लिए यही काफ़ी नहीं कि ख़ाली इमामत का मुस्तहक़ हो बल्कि उसे दीनी इन्तिज़ाम कार लोगों ने या पिछले इमाम ने मुक़र्रर किया हो।

मसअला :– इमाम की पैरवी हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है जबकि उसका हुक्म शरीअत के ख़िलाफ़ न हो। बल्कि शरीअत के ख़िलाफ़ किसी का भी हुक्म नहीं माना जा सकता।

मसअला :– इमाम ऐसा शख़्स मुक़र्रर किया जाए जो आलिम हो या आलिमों की मदद से काम करे और बहादुर हो ताकि हक़ बात कहने में उसे कोई ख़ौफ़ न हो।

मसअला :– इमामत औरत और नाबालिग़ की जाइज़ नहीं। अगर पहले इमाम ने नाबालिग़ को इमाम मुक़र्रर कर दिया हो तो उसके बालिग़ होने के लिए लोग एक वली मुक़र्रर करें कि वह शरीअत के अहकाम जारी करे और यह नाबालिग़ इमाम सिर्फ़ रस्मी होगा और हक़ीक़त में वह उस वक़्त तक इमाम का वाली है।

अक़ीदा : – हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद ख़लीफ़ा बरहक़ और इमामे मुतलक़ हज़रते अबूबक सिद्दीक़ फिर हज़रते उमर फ़ारूक़ फिर हज़रते उसमाने ग़नी फिर हज़रते अली 6 महीने के लिये हज़रते इमाम हसन रदियल्लाहु तआला अन्हुम ख़लीफ़ा हुए। इन बुज़ुर्गों को ख़ुलफ़ाये राशिदीन और उनकी ख़िलाफ़त को ख़िलाफ़ते राशिदा कहते हैं। इन नाइबों ने हुज़ूर की सच्ची नियाबत का पूरा पूरा हक़ अदा फ़रमाया है।

अक़ीदा :– नबियों और रसूलों के बाद हज़रते अबूबक इन्सान,जिन्नात,फ़रिश्ते और अल्लाह तआला

की हर मख़लूक़ से अफ़ज़ल हैं फिर हज़रते उमर फिर हज़रते उसमान ग़नी और फिर हज़रते अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुम जो आदमी मौला अ़ली मुशकिल कुशा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु को पहले या दूसरे ख़लीफ़ा से अफ़ज़ल बताये वह गुमराह और बद मज़हब है।

अक़ीदा :– अफ़ज़ल का मतलब यह है कि अल्लाह तआ़ला के यहाँ ज़्यादा इज़्ज़त वाला हो। इसी को कसरते से सवाब भी ताबीर करते हैं न कि कसरते अज्र कि बारहा मफ़ज़ूल के लिए होती है। सय्यदना हज़रते इमाम महदी के साथियों के लिए हदीस शरीफ़ में यह आया है कि उनके एक के लिये पचास का अज्र है। सहाबा ने हुज़ूर से पूछा उन में के पचास का या हम में के। फ़रमाया बल्कि तुममें के। तो अज्र उनका ज़ाइद हुआ मगर अफ़ज़लीयत में वह सहाबा के हमसर भी नहीं हो सकते ज़्यादा होना तो दर किनार। कहाँ इमाम महदी की रिफ़ाक़त कहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की सहाबियत उसकी मिसाल बिना तश्बीह यूँ समझिये कि सुलतान ने किसी मुहिम पर वज़ीर और कुछ दूसरे अफ़सरों को भेजा उसकी फ़तह पर हर अफ़सर को लाख लाख रुपये इनाम के दिये और वज़ीर को ख़ाली उसके मिज़ाज की ख़ुशी के लिए एक पर्वाना दिया तो इनाम दूसरे अफ़सरों को ज़्यादा मिला लेकिन इस इनाम को उस परवाने से कोई निसबत नहीं।

अक़ीदा :– उनकी ख़िलाफ़त बर तरतीबे फ़ज़ीलत है यानी जो अल्लाह के नज़दीक अफ़ज़ल, आला और अकरम था वही पहले ख़िलाफ़त पाता गया न कि अफ़ज़लीयत बर तरतीबे ख़िलाफ़त यानी अफ़ज़ल यह कि मुल्कदारी व मुल्क गीरी में ज़्यादा सलीक़ा। जैसा कि आजकल सुन्नी बनने वाले तफ़ज़ीलिये कहते हैं। अगर यूँ होता तो हज़रते फ़ारूक़ आज़म रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु सबसे अफ़ज़ल होते क्यूँकि उनकी ख़िलाफ़त को यह कहा गया है कि।

لَمْ اَرَ عَبْقَرِيًّا يَّفْرِىْ كَفَرْيِهٖ حَتّٰى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ

तर्जमा :– "मैंने किसी मर्दे क़वी को उनकी तरह अमल करते हुए नहीं देखा यहाँ तक कि लोग सैराब हो गये और पानी से क़रीब ऊँट बैठाने की जगह बनाई"।

और हज़रते सिद्दीक़े अकबर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु की ख़िलाफ़त को इस तरह फ़रमाया गया कि।

فِىْ نَزْعِهٖ ضَعْفٌ وَّاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهٗ

तर्जमा :– " उनके पानी निकालने में कमज़ोरी रही अल्लाह तआ़ला उनको बख़्शे" ।

यह हदीस इस तरह है कि हज़रते अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु फ़रमाते हैं कि मैंने हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से सुना कि उन्होंने फ़रमाया कि मैंने ख़्वाब में कुएँ पर एक डोल रखा देखा तो मैंने उससे जितना अल्लाह तआ़ला ने चाहा पानी निकाला फिर हज़रते अबूबक्र सिद्दीक़ रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने वह डोल लिया। उन्होंने एक या दो भरे डोल निकाले। उनके निकालने में कमज़ोरी रही।

अक़ीदा :– चारों ख़ुलफ़ाए राशिदीन के बाद बक़ीया अशरह मुबश्शेरह और हज़राते हसनैन और असहाबे बद्र और असहाबे बैअ़तुर्रिज़वान के लिए अफ़ज़लियत है। और यह सब क़तई जन्नती हैं। और तमाम सहाबए किराम रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुम अहले ख़ैर और आ़दिल हैं। उनका भलाई के साथ ही ज़िक्र होना फ़र्ज़ है।

अक़ीदा :– किसी सहाबी के साथ बुरा अक़ीदा रखना बदमज़हबी और गुमराही है। अगर कोई बुरी अक़ीदत रखे तो वह जहन्नम का मुस्ताहक़ है। क्यूँकि इनसे बुरी अक़ीदत रखना नबी अलैस्सिलाम के साथ बुग्ज़ है। ऐसा आदमी राफ़िज़ी है अगरचे चारों खुलफ़ा को माने और अपने आपको सुन्नी कहे।

हज़रते अमीर मुआविया,उनके वालिदे माजिद हज़रते अबू सुफ़यान,उनकी वालिदा हज़रते हिन्दा हज़रते सय्यदना अम्र इब्ने आस व हज़रते मुग़ीरा इब्ने शोअ्बा हज़रते अबू मूसा अशअ़री यहाँ तक कि हज़रते वहशी रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुम में से किसी की शान में गुस्ताख़ी तबर्रा है। हज़रते वहशी वह हैं जिन्होंने इस्लाम से पहले सय्यदुश्शुहदा हज़रते हमज़ा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु को शहीद किया और इस्लाम लाने के बाद बहुत बड़े ख़बीस मुसैलमा कज्ज़ाब को जहन्नम के घाट उतारा वह खुद कहा करते थे मैंने बहुत अच्छे इन्सान को और बहुत बुरे इन्सान को क़त्ल किया। और सहाबियों की शान में बेअदबी और गुस्ताख़ी करने वाला 'राफ़िज़ी' है।

अब रही बात हज़रते अबूबक्र और हज़रते उमर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा की तौहीन तो यह उनकी ख़िलाफ़त से ही इन्कार है और फ़ुक़हा के नज़दीक इनकी तौहीन या इनकी ख़िलाफ़त से इन्कार कुफ़्र है।

अक़ीदा :– सहाबी का मर्तबा यह है कि कोई वली किसी मर्तबे का हो किसी सहाबी के रुतबे को नहीं पहुँच सकता।

मसअ्ला :– सहाबए किराम रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुम के आपसी जो वाक़िआ़त हुये उनमें पड़ना हराम और सख़्त हराम है। मुसलमानों को तो यह देखना चाहिए कि वह सब आक़ाये दो जहाँ सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम पर जान निसार करने वाले और सच्चे गुलाम हैं।

अक़ीदा :– तमाम सहाबए किराम आला और अदना (और उनमें अदना कोई नहीं) क़ुर्आन के इरशाद के मुताबिक़ सब जन्नती हैं। वह जहन्नम की भनक न सुनेंगे और हमेशा अपनी मनमानी मुरादों में रहेंगे। महशर की वह बड़ी घबराहट उन्हें ग़मगीन न करेगी। फ़रिश्ते उनका इस्तिक़बाल करेंगे कि यह है वह दिन जिसका तुम से वादा था।

अक़ीदा :– सहाबा नबी न थे। फ़रिश्ते न थे कि मासूम हों। उनमें कुछ के लिए लग़ज़िशें हुईं मगर उनकी किसी बात पर गिरफ़्त करना अल्लाह और रसूल के ख़िलाफ़ है। अल्लाह तआ़ला ने जहाँ सूरए हदीद में सहाबा की दो क़िस्में की हैं। यानी फ़तहे मक्का से पहले के मोमिन और फ़तहे मक्का के बाद के मोमिन और उनको उन पर फ़ज़ीलत दी और फ़रमा दिया कि –

كُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى

तर्जमा :– "सब से अल्लाह ने भलाई का वादा फ़रमा लिया।"और साथ ही यह भी फ़रमाया कि–

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

तर्जमा :– "और अल्लाह ख़ूब जानता है जो कुछ तुम काम करोगे।"

तो जब उसने उनके तमाम आमाल जानकर हुक्म फ़रमा दिया कि उन सब से हम जन्नत का बे अज़ाब व करामत और सवाब का वादा कर चुके तो दूसरे को क्या हक़ रहा कि उनकी किसी बात पर तअ़्न करे। क्या तअ़्न करने वाला अल्लाह से अलग कोई मुस्तक़िल हुकूमत क़ाइम करना चाहता है ?

अक़ीदा :– हज़रते अमीर मुआविया रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु मुजतहिद थे उनके मुजतहिद होने के

बारे में हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदिल्लाहु तआला अन्हुमा ने सहीह बुख़ारी में बयान फ़रमाया है मुजतहिद से सवाब और ख़ता दोनों सादिर होती हैं।

इस बारे में ख़ता की दो किस्में है। ख़ताए 'इनादी' यह मुजतहिद की शान नहीं। ख़ताए 'इजतेहादी' यह मुजतहिद से होती है और उसमें उस पर अल्लाह के नज़दीक हरगिज़ कोई पकड़ नहीं। मगर अहकामे दुनिया में ख़ता की दो किस्में हैं। ख़ताए 'मुक़र्रर उसके करने वाले पर इन्कार न होगा यह वह ख़ताए इजतेहादी है जिससे दीन में कोई फ़ितना न होता हो। जैसे हमारे नज़दीक मुक़तदी का इमाम के पीछे सूरए फ़ातिहा पढ़ना।

दूसरी ख़ताए 'मुन्कर' यह वह ख़ताए इजतेहादी है जिसके करने वाले पर इन्कार किया जायेगा कि उसकी ख़ता फ़ितने का सबब है। हज़रते अमीर मुआविया का हज़रते अली से इख़्तेलाफ़ इसी किस्म की ख़ता का था। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो ख़ुद फ़ैसला फ़रमाया है कि मौला अली की डिगरी और अमीरे मुआविया की मग़फ़िरत।

मसअला :– कुछ जाहिल यह कहते हैं कि जब हज़रते अली के साथ हज़रते अमीरे मुआविया का नाम लिया जाये तो 'रदियल्लाहु तआला अन्हु न कहा जाये। इसकी कोई अस्ल नहीं और ऐसा अक़ीदा बिल्कुल बातिल और नई शरीअत गढ़ना है। उलमाए किराम ने सहाबा के नामों के साथ रदियल्लाहु तआला अन्हु कहने का हुक्म दिया है ।

अक़ीदा :– नुबुव्वत के तरीके पर तीस साल तक ख़िलाफ़त रही और हज़रते इमामे मुजतबा रदियल्लाहु तआला अन्हु को 6 महीने की ख़िलाफ़त पर ख़त्म हो गई। फिर अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ रदियल्लाहु तआला अन्हु की ख़िलाफ़ते राशिदा हुई और आख़िर ज़माने में हज़रते इमाम महदी रदियल्लाहु तआला अन्हु ख़लीफ़ा होंगे। और हज़रते अमीरे मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हु इस्लामी तारीख़ के सब से पहले सुलतान हैं। तौराते मुक़द्दस का इशारा है कि

مَوْلِدُهٗ بِمَكَّةَ وَمُهَاجَرُهٗ طَيْبَةَ وَ مُلْكُهٗ بِالشَّامِ

तर्जमा :– "हुज़ूर अलैहिस्सलाम मक्के में पैदा होंगे मदीने को हिज़रत करेगे और उनकी सलतनत शाम में होगी।"

हज़रते अमीरे मुआविया की बादशाही अगर्चे सलतनत है मगर किस की हकीक़त में हज़रते मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सलतनत है क्यूँकि हज़रते इमामे हसन मुजतबा रदियल्लाहु तआला अन्हु एक बार जंग के मैदान में थे और उनपर जान फ़िदा करने वाला बहुत बड़ा लशकर या इस के बावुजूद हज़रते इमामे हसन रदियल्लहु तआला अन्हु ने जान बूझ कर हथियार रख दिये और हज़रते अमीर मुआविया के हाथों पर 'बैअत'फ़रमा ली। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस सुलह की बशारत दी है और ख़ुशी में इमामे हसन के बारे में यह फ़रमाया है कि :–

اِنَّ ابْنِیْ هٰذَا سَیِّدٌ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ یُّصْلِحَ بِهٖ بَیْنَ فِئَتَیْنِ عَظِیْمَتَیْنِ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ

तर्जमा :– मेरा यह बेटा सय्यद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तआला इसकी वजह से इस्लाम के दो बड़े गिरोहों में सुलह करा दे"।

इसके बाद भी अगर कोई हज़रते अमीरे मुआविया पर फ़ासिक़ फ़ाज़िर होने का इलज़ाम लगाये तो उसका इल्ज़ाम लगाना और तअ़्ना कसना हज़रते इमामे हसन,हुज़ूर अलैहिस्सलाम बल्कि

अल्लाह तआला पर होगा।

अक़ीदा :– हज़रते आइशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा क़तई जन्नती हैं और आख़िरत में भी यक़ीनी तौर पर महबूबे ख़ुदा की महबूब दुल्हन हैं जो उन्हें तकलीफ़ दे वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ईज़ा देता है और हज़रते तल्हा और हज़रते ज़ुबैर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा तो अशरा मुबश्शिरा में से हैं। इन साहिबों से हज़रते अली रदियल्लाहु तआला अन्हु के मुक़ाबले की वजह से ख़ताए इजतेहादी वाक़ेअ् हुई मगर यह लोग आख़िर कार उनकी मुख़ालफ़त और मुक़ाबले से बाज़ आगये थे और रुजू कर लिया था। शरीअत में मुतलक़ बग़ावत तो इमामे बरहक़ से मुक़ाबले को कहते हैं। यह मुक़ाबला चाहे 'इनादी'हो या 'इजतेहादी'लेकिन इन हज़रात के रुजू कर लेने यानी बग़ावत से फिर जाने की वजह से उन्हें बाग़ी नहीं कहा जा सकता वह बेशक जन्नती हैं।

हज़रते अमीरे मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हु के गिरोह को शरीअत के एतिबार से बाग़ी लश्कर कहा जाता था मगर अब जबकि बाग़ी का मतलब मुफ़सिद और सरकश हो गया है और यह अल्फ़ाज़ गाली समझा जाने लगा है इसलिये अब किसी सहाबी के लिये बाग़ी का अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किया जाना जाइज़ नहीं।

अक़ीदा :– उम्मुल मोमिनीन आइशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा रब्बुल आलमीन के महबूब की महबूबा हैं। उन पर इफ़्क से अपनी ज़बान गन्दी करने वाला यक़ीनी तौर पर काफ़िर मुरतद है। और इसके सिवा और तअ्न करने वाला राफ़िज़ी तबर्राई,बद्दीन और जहन्नमी है।

अक़ीदा :– हज़रते इमामे हसनैन रदियल्लाहु तआला अन्हुमा यक़ीनी तौर पर ऊँचे दर्जे के शहीदों में से हैं। उनमें से किसी की शहादत का इन्कार करने वाला गुमराह और बद्दीन है।

अक़ीदा :– यज़ीद पलीद फ़ासिक़ फ़ाजिर और गुनाहे कबीरा का मुर्तकिब था। आजकल कुछ गुमराह लोग यह कह देते हैं कि हमारा उनके मामले में क्या दख़ल। हमारे वह भी शहज़ादे और इमामे हुसैन भी शहज़ादे। भला इमामे हुसैन से यज़ीद की क्या निस्बत। ऐसी बकवास करने वाला मरदूद है,ख़ारिजी है और जहन्नम का मुस्तहिक़ है। हाँ यज़ीद को काफ़िर कहने और उस पर लानत करने के बारे में उलमाए अहले सुन्नत के तीन क़ौल हैं। और हमारे इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु का मसलक ख़ामोशी है यानी हम यज़ीद को फ़ासिक़ फ़ाजिर कहने के सिवा न काफ़िर कहें न मुसलमान।

अक़ीदा :– अहले बैते किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम अहले सुन्नत के पेशवा हैं जो उनसे महब्बत न रखे मरदूद,मलऊन और ख़ारिजी है।

अक़ीदा :– उम्मुल मोमिनीन ख़दीजतुल कुबरा,उम्मुल मोमिनीन आइशा सिद्दीक़ा और हज़रत सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु तआला अन्हा क़तई जन्नती हैं। उन्हें और तमाम लड़कियों और पाक बीवियों (रदियल्लहु तआला अन्हुन्ना) को तमाम सहाबियात पर फ़ज़ीलत है। यहाँ तक कि उनकी पाकी की गवाही क़ुर्आन ने दी है। ☆☆☆☆☆

विलायत का बयान

विलायत अल्लाह तबारक व तआला से बन्दे के एक ख़ास क़ुर्ब का नाम है। जो अल्लाह तआला अपने बर्गुज़ीदा बन्दों को अपने फ़ज़्ल और करम से अ़ता करता है। इस सिलसिले में कुछ मसअ्ले बताये जाते हैं।

मसअ्ला :– विलायत ऐसी चीज़ नहीं कि आदमी बहुत ज़्यादा मेहनत करके ख़ुद हासिल कर ले बल्कि विलायत मौला की देन है। अलबत्ता आमाले हसना यानी अच्छे अ़मल अल्लाह तआला की इस देन के ज़रिये होते हैं। और कुछ लोगों को विलायत पहले ही मिल जाती है।

मसअ्ला :– विलायत बे–इल्म को नहीं मिलती। इल्म दो त़रह के होते हैं। एक वह जो ज़ाहिरी तौर पर हासिल किया जाये। दूसरे वह उ़लूम जो विलायत के मरतबे पर पहुँचने से पहले ही अल्लाह तआला उस पर उ़लूम के दरवाज़े खोल दे।

अ़क़ीदा :– तमाम अगले पिछले वलियों में से हुज़ूर अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के औलिया सारे वलियों से अफ़ज़ल हैं। और सरकार की उम्मत के सारे वलियों में अल्लाह की मारिफ़त और उससे कुरबत चारों ख़ुलफ़ा की सब से ज़्यादा है। और उनमें अफ़ज़लीयत की वही तरतीब है जिस तरतीब से वे ख़लीफ़ा हैं यानी सब से ज़्यादा कुरबत हज़रते अबूबक्र रदियल्लाहु तआला अ़न्हु को फिर हज़रते फ़ारुक़े आज़म रदियल्लाहु तआला अ़न्हु को फिर हज़रते उ़समान ग़नी रदियल्लाहु तआला अ़न्हु को और फिर मौला अ़ली मुशकिल कुशा रदियल्लाहु तआला अ़न्हु को है। हज़रते अ़ली की विलायत के कमालात मुसल्लम हैं इसीलिए उनके बाद सारे वलियों ने उन्हीं के घर से नेमत पाई। उन्हीं के मुहताज थे,हैं और रहेंगे।

अ़क़ीदा :– त़रीक़त शरीअ़त के मनाफ़ी नहीं है बल्कि त़रीक़त शरीअ़त का बात़िनी हिस्सा है। कुछ जाहिल और बने हुए सूफ़ी, जो यह कह दिया करते हैं कि त़रीक़त और है शरीअ़त और है यह महज़ गुमराही है और इस बात़िल ख़्याल की वजह से अपने आप को शरीअ़त से ज़्यादा समझना खुला हुआ कुफ़्र और इलहाद है।

मसअ्ला :– कोई कितना ही बड़ा वली क्यों न हो जाये शरीअ़त के अहकाम की पाबन्दी से छुटकारा नहीं पा सकता। कुछ जाहिल जो यह कहते हैं कि 'शरीअ़त रास्ता है ,और रास्ते की ज़रूरत उनको है जो मक़सद तक न पहुँचे हों हम तो पहुँच गये। हज़रते जुनैद बग़दादी रदियल्लाहु तआला अ़न्हु ऐसे लोगों के बारे में यह फ़रमाते हैं कि

صَدَقُوْا لَقَدْ وَصَلُوْا وَلٰكِنْ اِلٰی اَیْنَ اِلَی النَّارِ

तर्जमा :– "वह सच कहते हैं बेशक पहुँचे मगर कहाँ ?जहन्नम को" अलबत्ता अगर मजज़ूबियत की वजह से अ़क़्ल ज़ाइल हो गई हो जैसे बेहोशी वाला तो उससे शरीअ़त का क़लम उठ जायेगा। मगर यह भी समझ लीजिए कि जो इस क़िस्म का होगा उसकी ऐसी बातें कभी न होंगी और कभी शरीअ़त का मुक़ाबला न करेगा।

मसअ्ल :– औलियाए किराम को बहुत बड़ी त़ाक़त दी गई है। उनमें जो असहाबे ख़िदमत हैं उनको तसर्रुफ़ का इख़्तियार दिया जाता है। और स्याह सफ़ेद के मुख़्तार बना दिये जाते हैं। औलिया–ए–

किराम नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सच्चे नाइब हैं उनको इख़्तियारत और तसर्रुफ़ात हुज़ूर की नियाबत में मिलते हैं। ग़ैब के इल्म उन पर खोल दिये जाते हैं। उनमें से बहुतों को 'माकान व मायकुन' और लौहे महफ़ूज़'की ख़बर दी जाती है। मगर यह सब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वास्ते और देन से है। बग़ैर रसूल के वास्ते किसी ग़ैरे नबी को किसी ग़ैब की कोई ख़बर नहीं हो सकती।

अक़ीदा :– औलियाए किराम की करामतें हक़ हैं। इस हक़ीक़त का इन्कार करने वाला गुमराह है।

मसअ्ला :– मुर्दा ज़िन्दा करना,पैदाइशी अन्धे और कोढ़ी को शिफ़ा देना,मशरिक़ से मग़रिब तक सारी ज़मीन एक क़दम में तय करना,ग़र्ज़ तमाम ख़वारिक़े आदात करामतें (वह बातें जो एक आम आदमी से मुमकिन नहीं यानी आदत के ख़िलाफ़ हैं)औलियाए किराम से मुमकिन हैं। अलबत्ता वह ख़वारिक़े आदत जिनकी नबी के अलावा दूसरों के लिए मुमानअत हो चुकी है वलियों के लिए नहीं हासिल होंगी जैसे क़ुर्आन मजीद की तरह कोई सूरत ले आना या दुनिया में जागते हुए अल्लाह पाक के दीदार या कलामे हक़ीक़ी से मुशर्रफ़ होना। इन बातों का जो अपने या किसी वली के लिए दावा करे वह काफ़िर है।

मसअ्ला :– औलिया से इस्तिमदाद और इस्तिआनत (मदद चाहना या माँगना) बेहतर है। यह लोग मदद माँगने वालों की मदद करते हैं उनसे मदद माँगना किसी जाइज़ लफ़्ज़ से हो,मुसलमान औलिया को कभी मुस्तक़िल फ़ाइल(करने वाला) नहीं मानते; वहाबियों का फ़रेब है कि वे मुसलमानों के अच्छे कामों को भोंडी शक्ल में पेश करते हैं और यह वहाबियत का ख़ास्सा है।(कहने का मतलब यह है कि वहाबी जाइज़ अल्फ़ाज़ से मदद को भी शिर्क बताते हैं जबकि जाएज़ तरीक़े से मदद माँगना जाइज़ और नाजाइज़ तौर पर मदद माँगना गुनाह। हाँ अगर किसी ने मदद करने वाले को अल्लाह का शरीक जाना या यह जाना कि बिना अल्लाह तआला के दिए किसी और से मिला तो ऐसा करने वाला मुश्रिक और काफ़िर हुआ और मुसलमान ऐसा हरगिज़ नहीं करते।)

मसअ्ला :– औलिया के मज़ारात पर हाज़िरी मुसलमानों के लिए नेकी और बरकत का सबब है।

मसअला :– अल्लाह के वलियों को दूर और नज़दीक से पुकारना बुज़ुर्गों का तरीक़ा है।

मसअ्ला :– औलियाए किराम अपनी क़ब्रों में हमेशा रहने वाली ज़िन्दगी के साथ ज़िन्दा हैं। उनके इल्म इदराक (समझ बूझ)उनके सुनने और देखने में पहले के मुक़ाबले में कहीं ज़्यादा तेज़ी है।

असअ्ला :– औलिया को ईसाले सवाब करना मुस्तहब चीज़ है और बरकतों का ज़रिया है। उसे आरिफ़ लोग नज़्र व नियाज़ कहते हैं। यह नज़र शरई नहीं जैसे बादशाह को नज़्र देना उन में ख़ास कर ग्यारहवीं शरीफ़ की फ़ातेहा निहायत बड़ी बरकत की चीज़ है।

मसअ्ला :– औलियाए किराम का उर्स यानी क़ुर्आन शरीफ़ पढ़ना, फ़ातिहा पढ़ना, नात शरीफ़ पढ़ना, वाज़, नसीहत और ईसाले सवाब अच्छी चीज़ हैं। रही वह बातें कि उर्स में नासमझ लोग कुछ खुराफ़ातें शामिल कर देते हैं तो इस क़िस्म की खुराफ़ातें तो हर हाल में बुरी हैं और मुक़द्दस मज़ारों के पास तो और भी ज़्यादा बुरी हैं।

तम्बीह :– **चूँकि आम तौर पर मुसलमानों को अल्लाह के फ़ज़्ल और करम से औलिया–ए–किराम से नियाज़मन्दी और पीरों के साथ एक ख़ास अक़ीदत होती है। उन के सिलसिले में दाख़िल होने को**

दीन और दुनिया की भलाई। समझते हैं। इसीलिये इस ज़माने के वहाबियों ने लोगों को गुमराह करने कि लिए यह जाल फ़ैला रखा है कि पीरी मुरीदी भी शुरू कर दी। हालाँकि यह लोग औलिया के मुन्किर हैं इसीलिए जब किसी का मुरीद होना हो तो ख़ूब अच्छी तरह तहक़ीक़ कर लें। नहीं तो अगर कोई बदमज़हब हुआ तो ईमान से भी हाथ धो बैठेंगे।

ऐ बसा इबलीस आदम रूये हस्त
पस ब हर दस्ते न बायद दाद दस्त

तर्जमा :– "होशियार, ख़बरदार अक्सर इबलीस आदमी की शक्ल में होता है। इसलिये हर ऐरे ग़ैरे के हाथ में हाथ नहीं देना चाहिए।"

पीरी के लिये शर्तें :– पीर के लिए चार शर्तें हैं। बैअत करने और मुरीद होने से पहले उनको ध्यान में रखना फ़र्ज़ है।

(1) पीर सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हो। (2) पीर इतना इल्म रखता हो कि अपनी ज़रूरत के मसाइल किताबों से निकाल सके। (3) फ़ासिक़े मोलिन न हो। यानी खुले आम गुनाहे कबीरा में मुलव्विस न हो जैसे नमाज़ छोड़ना,गाने बजाने में मशग़ूल रहना या दाढ़ी मुंडाना वग़ैरा। (4) उसका सिलसिला हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक मुत्तसिल हो।

نَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَالْإِسْتِقَامَةَ عَلَى الشَّرِيْعَةِ الطَّاهِرَةِ وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى حَبِيْبِهٖ وَاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَابْنِهٖ وَحِزْبِهٖ اَبَدًا الْاٰبِدِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

तर्जमा :– "हम दीन दुनिया और आख़िरत में अल्लाह से माफ़ी और आफ़ियत माँगते हैं और पाकीज़ा शरीअत पर इस्तिक़ामत (मज़बूती के साथ क़ाइम रहना)चाहते हैं। और मुझे अल्लाह ही की जानिब से तौफ़ीक़ है उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी की जानिब माइल हुआ और दुरूद नाज़िल फ़रमाये अल्लाह तआला अपने हबीब पर,उन की आल असहाब उनके फ़र्ज़न्दों और उनकी जमात पर हमेशा हमेशा,और तमाम तारीफ़ ख़ास कर अल्लाह को जो तमाम आलम का रब है।"

फ़क़ीर अमजद अली आज़मी

हिन्दी तर्जमा

मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

बहारे शरीअ़त

दूसरा हिस्सा

मुसन्निफ़
सदरूश्शरीआ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा
मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर
क़ादरी दारूल इशाअ़त
मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली–53
Mob:–9312106346

नाम किताब — बहारे शरीअ़त (दूसरा हिस्सा)

मुसन्निफ़ — सदरुश्शरीअ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमह

हिन्दी तर्जमा — **मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी**

कम्प्यूटर कम्पोज़िंग — मौलाना मुहम्मद शफ़ीक़ुल हक़ रज़वी

क़ीमत जिल्द अव्वल — 500/

तादाद — 1000

इशाअ़त — 2010 ई.

मिलने के पते :

1 मकतबा नईमिया ,मटिया महल, दिल्ली
2 फ़ारूक़िया बुक डिपो ,मटिया महल ,दिल्ली
3 नाज़ बुक डिपो ,मोहम्मद अ़ली रोड़ मुम्बई
4 अलक़ुरआन कम्पनी ,कमानी गेट,अजमेर
5 चिश्तिया बुक डिपो दरगाह शरीफ़ अजमेर
6 क़ादरी दारुल इशाअ़त, मस्तफ़ा मस्जिद वैलकम दिल्ली—53 मो:— 9312106346
7 मकतबा रहमानिया रज़विया दरगाह आ़ला हज़रत बरेली शरीफ़

फ़ेहरिस्त

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْاَحَدِ الصَّمَدِ الْمُتَفَرِّدُ فِیْ ذَاتِهٖ وَ صِفَاتِهٖ فَلَا مِثْلَ لَهٗ وَ لَا ضِدَّ لَهٗ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ الْاَتَمَّانِ الْاَكْمَلَانِ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَ حَبِيْبِهٖ سَيِّدِ الْاِنْسِ وَ الْجَانِ، الَّذِیْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ، هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ مَاتَعَاقَبَ الْمَلْوَانِ، وَ عَلٰى مَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ، لَاسِيَّمَا الائمة الْمُجْتَهِدِيْنَ، خُصُوْصًا عَلٰى اَفْضَلِهِمْ وَ اَعْلَمِهِمُ الْاِمَامِ الْاَعْظَمِ، وَالْهُمَامِ الْاَفْخَمِ، الَّذِیْ سَبَقَ فِیْ مِضْمَارِ الْاِجْتِهَادِ كُلَّ فَارِسٍ، وَصَدَقَ عَلَيْهِ لَوْكَانَ الْعِلْمُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهٗ رَجُلٌ مِّنْ اَبْنَاءِ فَارِسٍ، سَيِّدِ نَا اَبِیْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ، ثَبَّتَنَا اللّٰهُ بِهٖ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِی الْاٰخِرَةِ، وَاَعْطَانَا الْحُسْنٰى وَ زِيَادَةً فَاخِرَةً وَ عَلَيْنَا لَهُمْ وَ بِهِمْ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

तम्हीद

एक वह ज़माना था कि हर मुसलमान इतना इल्म रखता जो उसकी ज़रूरियात को काफ़ी हो और अल्लाह के फ़ज़्ल से बहुत मुसलमान ऐसे मौजूद थे जो न मालूम होता उन से बा–आसानी दरयाफ़्त कर लेते हत्ता कि हज़रते उ़मर फ़ारूक़ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने हुक्म फ़रमादिया था हमारे बाज़ार में वही ख़रीद व फ़रोख़्त करें जो इल्मे दीन जानते हों ,इस हदीसे पाक को तिर्मिज़ी ने अ़ला इब्ने अ़ब्दुर्रहमान इब्ने याकूब से रिवायत किया उन्होंने अपने बाप से और याकूब के बाप ने अपने बाप से। फिर जिस क़दर ज़मानए नुबुव्वत से दूरी होती गई उसी क़द्र इल्म की कमी होती रही। अब वह ज़माना आगया कि अ़वाम तो अ़वाम बहुत वह जो उ़लमा कहलाते हैं रोज़मर्रा के ज़रूरी मसाइल हत्ता कि फ़राइज़ व वाजिबात से नावाक़िफ़ और जितना जानते हैं उस पर भी अ़मल करने से दूर कि उन को देख कर अ़वाम को सीखने और अ़मल करने का मौक़ा मिलता। इसी क़िल्लते इल्म व़ बे परवाही का नतीजा है कि बहुत से ऐसे मसाइल का जिन से वाक़िफ़ नहीं इन्कार कर बैठते हैं हालाँकि न ख़ुद इल्म रखते हैं कि जान सकें न सीखने का शौक़ कि जानने वाले से दरयाफ़्त करें न उलमा की ख़िदमत में हाज़िर होते हैं कि उनकी सोहबत से कुछ सीखें।

आसान ज़ुबान में अभी तक कोई ऐसी किताब शाए न हुई है कि रोज़मर्रा के ज़रूरी मसाइल की ज़रूरियात को पूरा कर सके इसी कमी को पूरा करने के लिए फ़क़ीर (सदरूश्शरीआ़ मौलाना अमजद अ़ली रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैह)ने अल्लाह तआ़ला पर भरोसा कर के इस काम को शुरू किया हालाँकि मैं ख़ूब जानता हूँ कि न मेरा यह मन्सब न मैं इस काम के लाइक़ न इतनी फ़ुरसत कि पूरा वक़्त दे कर इस काम को अन्जाम दूँ।

وَ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ وَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

तर्जमा :– "और अल्लाह हम को काफ़ी है और क्या ही बेहतर वकील और नहीं है कोई ताक़त और नहीं है कोई कुव्वत मगर अल्लाह बलन्द व बरतर की जानिब से"।

(1)इस किताब मे पूरी कोशिश की गई है कि इस की इबारत आसान हो और समझने में कोई दिक्क़त न हो और कम इल्म लोग औरतें ओर बच्चे भी इस किताब से फ़ायदा ह़ासिल कर सकें फिर भी इल्म बहुत मुश्किल चीज़ है यह मुमकिन नहीं कि इल्मी दुश्वारियाँ बिल्कुल जाती रहें। किताब पढने पर बहुत से ऐसे मौके आयेंगे कि इल्म वालों से समझने की ज़रूरत पड़ेगी लेकिन इतना फायदा तो जरूर होगा कि इल्म वालों की त़रफ़ तवज्जोह होगी।

(2) इस किताब में मसाइल की दलीलें न लिखी जायेंगी कि अव्वल तो दलीलों को समझना हर शख्स का काम नही दूसरे दलीलों की वजह से ऐसी उलझन पड़ जाती है कि मसअ्ला समझना दुश्वार हो जाता है लिहाजा हर मसअ्ले में हुक्म बयान कर दिया जायेगा और अगर किसी स़ाहब को दलाइल का शौक़ हो तो वह फ़तावाए रज़विया शरीफ़ का मुतालआ़ (पढ़ा) करें कि उसमें हर मसअ्ले की ऐसी तहकीक की गई है जिसकी नज़ीर आज दुनिया में मौजूद नहीं और उस में हजारहा ऐसे मसाइल मिलेंगें जिनसे उ़लमा के कान भी आशना नहीं।

3.कोशिश ऐसी की गई है कि इस किताब में इख़्तिलाफ़ का बयान न होगा कि अ़वाम के सामने जब दो मुखतलिफ़ बातें पेश हों तो हैरान रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हों जाते हैं कि किस पर अमल किया जाये और बहुत सी ख्वाहिश के बंदे ऐसे भी होते हैं कि जिसमें अपना फ़ायदा देखते हैं उसे इख्तियार कर लेते है यह समझ कर नहीं कि यही हक़ है बल्कि यह ख़याल कर के कि इस में अपना मतलब हासिल होता है फिर जब कभी दूसरे में अपना फ़ायदा देखा तो उसे इख़्तियार कर लिया और यह नाजाइज है कि यह शरीअ़त की पैरवी नहीं बल्कि नफ़्स की पैरवी है। लिहाज़ा हर मसअ्ले मे सही हुक्म बयान कर दिया जायेगा कि हर शख़्स उस पर अ़मल कर सके अल्लाह तआ़ला तौफीक दे और मुसलमानों को इस से फ़ायदा पहुँचाये।

وَ مَا تَوْفِيْقِىْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْهِ اُنِيْب وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى حَبِيْبِهِ الْمُخْتَارِ وَ اٰلِهِ الْاَطْهَارِ ،وَ صَحْبِهِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ ،وَ خُلَفَائِهِ الْاَخْتَانِ مِنْهُمْ الْاَصْهَارِ ،وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ،وَهَا اَنَا اَشْرَعُ فِى الْمَقْصُوْدِ بِتَوْفِيْقِ الْمَلِكِ الْمَعْبُوْدِ ـ

अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है:–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ

तर्जमा :–"और आदमी मैंने इसी लिए पैदा किये कि वह मेरी इबादत करें"। हर थोड़ी सी अ़क़्ल वाला भी जानता है जो चीज़ जिस काम के लिए बनाई जाये उस काम में न आये तो बेकार है तो इन्सान जो अपने खालिक और मालिक को न पहचाने उस की बंदगी व इबादत न करे वह नाम का आदमी है हकीकतन वह आदमी नहीं बल्कि एक बेकार चीज़ है,तो मा़लूम हुआ कि इबादत ही से आदमी आदमी है और इसी में दुनिया और आख़िरत की भलाई है। लिहाज़ा हर इन्सान के लिए इबादत की किस्मे ,अरकान,शराइत और अहकाम का जानना ज़रूरी है बग़ैर इल्म के अ़मल नामुमकिन है। इसी वजह से इल्म सीखना फ़र्ज़ है इबादत की अस़्ल ईमान है, बग़ैर ईमान इबादत बेकार कि जड ही नही तो सब बेकार,दरख़्त उसी वक्त फल फूल लाता है कि उस की जड़ काइम हो जड जुदा हो जाने के बाद आग की खुराक होजाता है इसी त़रह काफ़िर लाख इबादत करे उस का सारा किया धरा बर्बाद और वह जहन्नम का ईंधन।

अल्लाह तआला फ़रमाता है :—

وَقَدِمْنَا اِلٰی مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا

तर्जमा :— "काफ़िरों ने जो कुछ किया हम उस के साथ यूँ पेश आये कि उसे बिखरे हुए ज़र्रे की तरह कर दिया।"

जब आदमी मुसलमान हो लिया तो उस के ज़िम्मे दो क़िस्म की इबादतें फ़र्ज़ हैं एक वह जिसका तअ़ल्लुक़ हाथ पैरों वग़ैरा से है। दूसरा वह जिसका तअ़ल्लुक़ दिल से है दूसरी क़िस्म के अह़काम वग़ैरह इल्मे सुलूक में बयान होते हैं और पहली क़िस्म से फ़िक़्ह बह़स करता है और इस किताब में मैं पहली क़िस्म को ही बयान करना चाहता हूँ फ़िर जिस इबादत को ज़ाहिरी बदन से तअ़ल्लुक़ है वह दो क़िस्म की हैं या वह मुआ़मला कि बन्दे और ख़ास उसके रब के दरमियान है। बन्दों के आपस में किसी काम का बनाव—बिगाड़ नहीं जैसे नमाज़े पंज गाना ,रोज़ा कि हर शख़्स बिना दूसरे के उन्हें अदा कर सकता है चाहे दूसरे को शिरकत की ज़रूरत हो जैसे नमाज़े जमाअ़त व जुमा व ईदैन में कि बे—जमाअ़त नामुमकिन है मगर उस से सब का मक़सूद सिर्फ़ मअ़बूदे बरहक़ की इबादत है न कि अपने किसी काम का बनाना। दूसरी क़िस्म वह है कि बन्दों के आपस में तअ़ल्लुक़ात ही की इस्लाह (यानी भलाई)उस में मद्दे नज़र है जैसे निकाह या ख़रीद व फ़रोख़्त वग़ैरा। पहली क़िस्म को इबादत कहते हैं और दूसरी क़िस्म को मुआ़मलात।

पहली क़िस्म में अगरचे कोई दुनियावी नफ़अ़ बज़ाहिर न हो और मुआ़मलात में ज़रूर दुनियावी फ़ायदे ज़ाहिर में मौजूद हैं बल्कि ज़ाहिरी फ़ायदे ही ज़्यादा नज़र आते हैं मगर इबादत दोनों हैं जब कि मुआ़मलात भी अगर ख़ुदा व रसूल के हुक्म के मुवाफ़िक़ किये जायें तो सवाब पायेगा वरना गुनाह और अ़ज़ाब का सबब है पहली क़िस्म यानी इबादत चार हैं पहली नमाज़,रोज़ा,ह़जऔर ज़कात, इन सब में सब से ज़्यादा अहम नमाज़ है और यह इबादत अल्लाह को बहुत महबूब है। लिहाज़ा हम को चाहिए कि सब से पहले इसी को बयान करें मगर नमाज़ पढ़ने से पहले नमाज़ी का पाक होना बहुत ज़रूरी है क्यूँकि पाकी व त़हारत नमाज़ की कुंजी है। लिहाज़ा त़हारत के मसाइल बयान होंगे उस के बाद नमाज़ के मसाइल बयान होंगे।

त़हारत यानी पाकी का बयान

नमाज़ के लिये पाकी ऐसी जरूरी चीज़ है कि बिना पाकी के नमाज़ होती ही नहीं बल्कि जान बूझ कर बग़ैर त़हारत नमाज़ अदा करने को हमारे उलमा कुफ़्र लिखते हैं। और क्यों न हो कि उस बेवुज़ू या बेग़ुस्ल नमाज़ पढ़ने वाले ने इबादत की बे अदबी और तौहीन की नबी स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि जन्नत की कुंजी नमाज़ है और नमाज़ की कुंजी त़हारत है।

इस ह़दीस को इमाम अह़मद ने जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत किया कि एक रोज़ नबी स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम सुबह़ की नमाज़ में सूरए रूम पढ़ रहे थे, बीच में शुबह हुआ। नमाज़ के बाद इरशाद फ़रमाया कि उन लोगों का क्या ह़ाल है जो हमारे साथ नमाज़ पढ़ते हैं और अच्छी त़रह त़हारत नहीं करते। उन्हीं की वजह से इमाम को क़िरअ़त में शुबह पड़ता

है। इस हदीस को नसई ने शबीब इब्ने अबी रूह से उन्होंने एक सहाबी से रिवायत किया कि जब बगैर कामिल तहारत के नमाज़ पढ़ने की यह नहूसत है तो बे तहारत नमाज़ पढ़ने की नहूसत का क्या पूछना। तिर्मिज़ी में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तहारत निस्फ़ (आधा) ईमान है। यह हदीस हसन है।

तहारत की दो किस्में हैं :– 1. सुगरा 2. कुबरा . तहारते सुगरा वुजू है। और तहारते कुबरा गुस्ल। जिन चीज़ों में सिर्फ़ वुजू लाज़िम होता है उन को हदसे असगर और जिन चीज़ों से नहाना फ़र्ज़ हो उन को हदसे अकबर कहा जाता है। अब आप के सामने फ़िक़ह में बोले जाने वाले कुछ अलफ़ाज़ की तारीफ़ लिखी जाती है।

फ़र्ज़े एअ्तिक़ादी :– वह फ़र्ज़ है जो दलीले क़तई से साबित हो यानी ऐसी दलील से साबित हो जिसमें कोई शक न हो उसका इन्कार करने वाला हनफ़ी इमामों के नज़दीक मुतलक़ काफ़िर है और अगर यह एअ्तिक़ादी फ़र्ज़ आम ख़ास पर खुला हुआ दीने इस्लाम का मसअ्ला हो और उसका कोई इन्कार करे तो वह ऐसा काफ़िर है कि जो उसके कुफ़्र में शक करे वह खुद काफ़िर है। बहरहाल जो किसी फ़र्ज़े एअ्तिक़ादी को बिना किसी सही शरई मजबूरी के जानबूझ कर एक बार भी छोड़े वह फ़ासिक़,गुनाहे कबीरा का मुरतकिब और जहन्नम के अज़ाब का मुस्तहिक़ है जैसे नमाज़ रुकू, सजदा।

फ़र्ज़े अमली :– वह फ़र्ज़ है जिसका सुबूत ऐसा क़तई तो न हो मगर शरई दलीलों से मुजतहिद की नज़र में यक़ीन है कि बिना उस के किये आदमी बरीउज़्ज़िम्मा न होगा यहाँ तक कि अगर वह किसी इबादत के अन्दर फ़र्ज़ है तो वह इबादत बिना उस के बातिल व बेकार होगी और उसका बिलावजह इन्कार फ़िस्क़ व गुमराही है। हाँ अगर कोई शरई दलीलों में नज़र रखने वाला शरई दलीलों से उसका इन्कार करे तो कर सकता है। जैसे मुजतहिद इमामों के इख़्तिलाफ़ात कि एक इमाम किसी चीज़ को फ़र्ज़ कहते हैं और दूसरे नहीं। जैसे हनफ़ियों के नज़दीक वुजू में चौथाई सर का मसह करना फ़र्ज़ है और शाफ़िई मज़हब में एक बाल का और मालिकी मज़हब में पूरे सर का मसह फ़र्ज़ है हनफ़ियों के नज़दीक वुजू में बिस्मिल्लाह शरीफ़ का पढ़ना और नियत करना सुन्नत है लेकिन हम्बली और शाफ़िई मज़हब में फ़र्ज़ है और इसके अलावा और बहुत सी मिसालें हैं। इस फ़र्ज़े अमली में हर आदमी उसी की पैरवी करे जिसका वह मुक़ल्लिद है। अपने इमाम के ख़िलाफ़ बिना शरई ज़रूरत के दूसरे इमाम की पैरवी जाइज़ नहीं।

वाजिबे एअ्तिक़ादी :– वाजिबे एअ्तिक़ादी वह है कि दलीले ज़न्नी से उसकी ज़रूरत साबित हो। फ़र्ज़े अमली और वाजिबे अमली इसी की दो क़िस्में हैं और वह इन्हीं दोनों में मुन्हसिर है यानी घिरी हुई है।(दलीले ज़न्नी वह दलील है जिस के दुरुस्त और ना दुरुस्त होने पर फ़ैसला मुश्किल हो)

वाजिबेअमली :– वह वाजिबे एअ्तिक़ादी है कि बिना उसके किये भी बरीउज़्ज़िम्मा होने का एहतिमाल(शक)हो मगर ग़ालिबे ज़न (ग़ालिब गुमान) उस की ज़रूरत पर है और अगर किसी इबादत में उसका बजा लाना ज़रूरी हो तो इबादत बे उसके नाक़िस (अधूरी) रहेगी मगर अदा हो जायेगी। मुजतहिद दलीले शरई से वाजिब का इन्कार कर सकता है और किसी वाजिब का एक बार भी जान बूझ कर छोड़ना सग़ीरा गुनाह है और कई बार छोड़ना गुनाहे कबीरा है।

सुन्नते मुअक्कदा :– वह जिस को हुजूर अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने हमेशा किया हो अलबत्ता बयाने जवाज़ (जाइज़ होने के बयान) के वास्ते कभी छोड़ भी दिया हो या वह कि उस के करने की ताकीद की हो मगर छोड़ने का रास्ता बिल्कुल बन्द न किया हो इसी सुन्नते मुअक्कदा का छोड़ना गुनाह और करना सवाब है और कभी छोड़ने पर इताब और उस की आ़दत सज़ा का मुस्तहक़ होता है।

सुन्नते ग़ैर मुअक्कदा :– वह है कि शरीअ़त की नज़र में ऐसी चीज़ हो कि उसके छोड़ने को नापसन्द रखे मगर इस ह़द तक नहीं कि शरीअ़त उस पर अ़ज़ाब की वई़द फ़रमाये। इस बात से आम है कि हुजूर ने उसको हमेशा किया है या नहीं। उस का करना सवाब और न करना अगरचे आ़दत के तौर पर हो अ़ज़ाब का सबब नहीं।

मुस्तह़ब :– वह कि शरीअ़त की नज़र में उसका करना पसन्द हो मगर उसके छोडने पर कुछ नापसन्दी न हो चाहे हुजूर अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने उसे किया या करने के लिये फ़रमाया या आ़लिमों ने पसंद किया हो अगरचे उसका ज़िक्र ह़दीस में न आया हो फ़िर भी उसका करना और न करने पर कुछ नहीं।

मुबाह :– वह है जिसका करना और न करना बराबर हो।

हरामे क़तई :– यह फ़र्ज़ का मुक़ाबिल(विलोम)है। इसका एक बार भी जान बूझ कर करना गुनाहे कबीरा है। इसका करने वाला फ़ासिक़ है और इससे बचना फ़र्ज़ और सवाब है।

मकरूहे तह़रीमी :– यह वाजिब का मुक़ाबिल है। इसके करने से इबादत नाक़िस़ या़नी अधूरी हो जाती है और करने वाला गुनाहगार होता है अगरचे इसका गुनाह ह़राम से कम है और चन्द बार इसका करना गुनाहे कबीरा है।

इसाअ़त :– जिसका करना बुरा और कभी कभी करने वाला इताबे इलाही का मुस्तह़क़ और बराबर करने वाला अ़ज़ाब का मुस्तह़क़ है और यह सुन्नते मुअक्किदा के मुक़ाबिल है।

मकरूहे तन्ज़ीही :– जिसका करना शरीअ़त को पसंद नहीं मगर इस हद तक नहीं कि उस पर अ़ज़ाब की वई़द आये यह सुन्नते ग़ैर मुअक्किदा के मुक़ाबिल है।

ख़िलाफ़े औला :– यह कि जिसका न करना बेहतर था अगर किया तो कुछ हरज और अजाब नहीं। यह मुस्तह़ब का मुक़ाबिल है।

इन बातों के बताने के लिये मुख़्तलिफ़ किताबों में मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ मिलेंगे मगर यही सबका निचोड़ है।

وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا مُّبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَ يَرْضٰى

वुजू का बयान

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है कि :–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ

اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ

तर्जमा :– " ऐ ईमान वालो जब तुम नमाज़ पढ़ने का इरादा करो (और वुजू न हो)तो अपने मुँह और कोहनियों तक हाथों को धोओ और सरों का मसह करो और टख़नों तक पाँव धोओ"।

मुनासिब मालूम होता है कि अब वुजू की फ़ज़ीलत में चन्द हदीसें लिखी जायें फिर उसके मुतअ़ल्लिक़ अहकामे फ़िक़्ही का बयान हो ।

हदीस न.1 :– इमाम बुख़ारी और इमाम मुस्लिम ने हज़रते अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं कि क़ियामत के दिन मेरी उम्मत इस हालत में बुलाई जायेगी कि मुँह,हाथ और पैर वुजू की वजह से चमकते होंगे तो जिस से होसके चमक ज़्यादा करे।

हदीस न.2 :– सही मुस्लिम में हज़रते अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी है कि हुज़ूर सय्यदे आ़लम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने सहाबा से इरशाद फ़रमाया कि क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ न बता दूँ कि जिसके सबब अल्लाह तआ़ला ख़तायें माफ़ कर दे और दर्जे बलंद करे। सहाबा ने अ़र्ज़ किया हाँ या रसूलल्लाह! हुज़ूर ने फ़रमाया जिस वक़्त वुजू नगावार होता है उस वक़्त अच्छी तरह पूरा वुजू करना और मस्जिदों की तरफ़ ज़्यादा जाना और एक नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ का इन्तेज़ार करना इसका सवाब ऐसा है जैसा काफ़िरों की सरहद पर इस्लामी शहरों की हिमायत के लिये घोड़ा बाँधने का सवाब है।

हदीस न.3 :– इमाम मालिक व नसई अ़ब्दुल्लाह सनाबिही रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि मुसलमान बन्दा जब वुजू करता है तो कुल्ली करने से उसके मुँह के गुनाह गिर जाते हैं और जब नाक में पानी डाल कर नाक साफ किया तो नाक के गुनाह निकल गये और जब मुँह धोया तो उसके चेहरे के गुनाह निकले यहाँ तक कि पलकों के निकले और जब हाथ धोये तो हाथों के गुनाह निकले यहाँ तक कि हाथों के नाख़ूनों से निकले और जब सर का मसह किया तो सर के गुनाह निकले यहाँ तक कि कानों से निकले और जब पाँव धोए तो पाँवों की ख़तायें निकलीं यहाँ तक कि नाख़ूनों से फ़िर उसका मस्जिद में जाना और नमाज़ इस पर ज़्यादा (सवाब) है।

हदीस न.4 :– बज़्ज़ाज़ ने हसन असनाद के साथ रिवायत की कि हज़रते उसमान ग़नी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने अपने गुलाम हमरान से वुजू के लिये पानी माँगा और सर्दी की रात में बाहर जाना चाहते थे। हमरान कहते हैं कि मैं पानी लाया उन्होंने मुँह हाथ धोये तो मैंने कहा अल्लाह आपको किफ़ायत करे रात तो बहुत ठंडी है उस पर उन्होंने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से सुना है। कि जो बंदा अच्छी तरह पूरा वुजू करता है अल्लाह तआ़ला उस के अगले पिछले गुनाह बख़्श देता है।

हदीस न.5 :– तबरानी ने औसत में हज़रते अमीरूल मोमिनीन मौला अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो सख़्त सर्दी में कामिल वुजू करे उसके लिये दूना सवाब है।

हदीस न.6 :– इमामे अहमद इब्ने हम्बल ने हजरते अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की

कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो एक–एक बार वुजू करे तो यह जरूरी बात है और जो दो–दो बार करे तो उसको दूना सवाब है और जो तीन–तीन बार धोये तो यह मेरा और अगले नबियों का वुजू हैं।

हदीस न.7 :– सही मुस्लिम में उकबा इब्ने आमिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मुसलमान वुजू करे और अच्छा वुजू करे फिर खड़ा हो और ज़ाहिर व बातिन से अल्लाह की तरफ ध्यान देकर दो रकअत नमाज़ पढ़े तो उसके लिये जन्नत वाजिब हो जाती है।

हदीस न.8 :– मुस्लिम में हज़रते अमीरुल मोमिनीन फारूके आज़म उमर इब्ने ख़त्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो कोई वुजू करे कामिल वुजू करे फिर पढ़े :–

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

तर्जमा :– "मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं वह अकेला है उस का कोई शरीक नहींऔर मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस के बन्दे और उसके रसूल हैं।"

तो उसके लिये जन्नत के आठों दरवाज़े खोल दिये जाते हैं जिस दरवाज़े से चाहे दाख़िल हो जाये।

हदीस :– न.9 तिर्मिज़ी ने हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मोमिन आदमी वुजू पर वुजू करे उसके लिए दस नेकियाँ लिखी जायेंगी।

हदीस न.10 :– इब्ने खुज़ैमा अपनी सहीह में रावी हैं कि अब्दुल्लाह इब्ने बुरीदा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि एक दिन सुबह को हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रते बिलाल को बुलाया और फ़रमाया कि ऐ बिलाल किस अमल (काम)के सबब तू जन्नत में मुझ से आगे–आगे जा रहा था,मैं रात जन्नत में गया तो तेरे पाँव की आहट अपने आगे पाई। बिलाल रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह जब मैं अज़ान कहता हूँ तो दो रकअत नमाज़ पढ़ लिया करता हूँ और मेरा जब कभी वुजू टुटता वुजू कर लिया करता। हुजूर ने फरमाया इसी वजह से ।

हदीस न.11 :– तिर्मिज़ी व इब्ने मांजा सईद इब्ने जैद रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी उसका वुजू नहीं यानी पूरा वुजू नहीं। उसके मअनी यह हैं जो दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया।

हदीस न.12 :– दारे कुतनी और बैहकी में अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुजूर ने इरशाद फरमाया है कि जिसने बिस्मिल्लाह कह कर वुजू किया उसका सर से पाँव तक सारा बदन पाक हो गया और जिसने बगैर बिस्मिल्लाह वुजू किया उसका उतना ही बदन पाक होगा जितने पर पानी गुज़रा।

हदीस न.13 :– इमाम बुख़ारी और मुस्लिम हज़रते अबू हूरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत

करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि जब कोई सोकर उठे तो वुजू करे और तीन बार नाक साफ़ करे क्योंकि शैतान उसके नथने पर रात गुज़ारता है।

हदीस न.14 :– तबरानी बइसनादे हसन हज़रते अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर यह बात न होती कि मेरी उम्मत पर शाक़ (भारी)होगा तो मैं उनको वुजू के साथ मिस्वाक करने का हुक्म फ़रमा देता (यानी फ़र्ज़ कर देता और कुछ रिवायतों में फ़र्ज़ का लफ़्ज़ भी आया है)

हदीस न.15 :– इसी तबरानी की एक रिवायत में है कि सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस वक़्त तक किसी नमाज़ के लिये तशरीफ़ न ले जाते जब तक कि मिस्वाक न कर लेते।

हदीस न.16 :– सही मुस्लिम शरीफ़ में हज़रते आइशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर बाहर से जब घर में तशरीफ़ लाते सब से पहला काम मिस्वाक करना होता।

हदीस न.17 :– इमाम अहमद हज़रते इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मिस्वाक का इन्तिज़ाम रखो कि वह सबब है मुँह की सफ़ाई और रब तबारक व तआला की रज़ा का।

हदीस न.18 :– अबू नईम हज़रते जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि दो रकअ़तें जो मिस्वाक करके पढ़ी जायें बे मिस्वाक की सत्तर रकअ़तों से अफ़ज़ल हैं।

हदीस न.19 :– एक और रिवायत में है कि जो नमाज़ मिस्वाक कर के पढ़ी जाये वह उस नमाज़ से सत्तर हिस्से अफ़ज़ल है जो बिना मिस्वाक के पढ़ी जाये।

हदीस न.20 :– मिश्कात शरीफ़ में हज़रते आइशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि दस चीज़ें फ़ितरत से हैं (यानी उनका हुक्म हर शरीअ़त में था) 1. मूछे कतरना 2. दाढ़ी बढ़ाना 3. मिस्वाक करना 4. नाक में पानी डालना 5. नाखुन तराशना 6. उँगलियों को धोना 7. बग़ल के बाल दूर करना 8. नाफ़ के नीचे के बाल मूँडना 9. इस्तिन्जा करना (नजासत निकलने की जगह को पाक करना) 10. कुल्ली करना।

हदीस न.21 :– हज़रते अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बन्दा जब मिस्वाक कर लेता है फिर नमाज़ को खड़ा होता है तो फ़रिश्ता उसके पीछे खड़े होकर किरात सुनता है फिर उससे क़रीब होता है यहाँ तक कि अपना मुँह उसके मुँह पर रख देता है।

मशाइख़े किराम फ़रमाते हैं कि जो मोमिन आदमी मिस्वाक की आदत रखता हो तो मरते वक़्त उसे कलिमा पढ़ना नसीब होगा और जो अफ़यून (अफ़ीम) खाता हो मरते वक़्त उसे कलिमा नसीब न होगा।

अहकामे फ़िक़्ही

वह आयते करीमा जो ऊपर लिखी गई है उससे यह साबित है कि वुजू में चार फ़र्ज़ हैं :–

1. मुँह धोना 2. कोहनियों समेत दोनों हाथों को धोना 3. सर का मसह करना 4. टख़नों समेत दोनों पाँव का धोना।

फ़ायदा :– किसी उ़ज़्व के धोने के यह मअ़नी हैं कि उस उ़ज़्व के हर हिस़्से पर कम से कम दो–दो बूँदें पानी बह जाये। भीग जाने या तेल की त़रह़ पानी चुपड़ लेने या एक आध बूँद बह जाने को धोना नहीं कहेंगे न उससे वुज़ू या ग़ुस्ल अदा हो। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है लोग इसकी त़रफ़ ध्यान नहीं देते और नमाज़े अकारत जाती हैं यानी बरबाद होती हैं।

बदन में कुछ जगह ऐसी हैं कि जब तक उनका ख़ास़ ख़्याल न किया जाये उन पर पानी नहीं बहेगा जिसकी तशरीह़ हर उ़ज़्व में की जायेगी किसी जगह मौज़ए ह़दस(हदस की जगह)पर तरी पहूँचने को मसह़ कहते हैं।

मुँह धोना :– लम्बाई में शुरू पेशानी से (यानी सर में पेशानी की त़रफ़ का वह हिस़्सा जहाँ से आ़म तौ़र पर बाल जमने शुरू होते हैं।)ठोड़ी तक और चौड़ाई में एक कान से दूसरे कान तक मुँह है इस ह़द के अन्दर चमड़े के हर हिस़्से पर एक बार पानी बहाना फ़र्ज़ है।

मसअ्ला :– जिस के सर के अगले हिस़्से के बाल गिर गये या जमे नहीं उस पर वहीं तक मुँह धोना .फ़र्ज़ है जहाँ तक आ़दत के मुवाफ़िक़ बाल होते हैं और अगर आ़दत के ख़िलाफ़ किसी के नीचे तक बाल जमे हों तो उन ज़्यादा बालों का जड़ तक धोना फ़र्ज़ है।

मसअ्ला :– मूँछों, भवों या बच्ची (यानी वह बाल जो नीचे के होंट और ठोड़ी के बीच में होते हैं) के बाल ऐसे घने हों कि खाल बिल्कुल न दिखाई दे तो चमड़े का धोना फ़र्ज़ नहीं और अगर उन जगहों के बाल घने न हों तो जिल्द का धोना भी फ़र्ज़ है।

मसअ्ला :– अगर मूँछे बढ़कर लबों को छुपा लें तो अगरचे मूँछें घनी हों उनको हटाकर लब का धोना फ़र्ज़ है।

मसअ्ला :– दाढ़ी के बाल अगर घने न हों तो चमड़े का धोना फ़र्ज़ है और अगर घने हों तो गले की त़रफ़ दबाने से जिस क़द्र चेहरे के घेरे में आयें उनका धोना फ़र्ज़ है और जड़ों का धोना फ़र्ज़ नहीं और जो ह़ल्क़े से नीचे हों उनका धोना ज़रूरी नहीं और अगर कुछ हिस़्से में घने हों और कुछ छिदरे हों तो जहाँ घने हों तो वहाँ बाल और जहाँ छिदरे हों उस जगह जिल्द (खाल)का धोना फ़र्ज़ है।

मसअ्ला :– लबों का हिस़्सा जो आ़दत में लब बन्द करने के बाद ज़ाहिर रहता है उसका धोना फ़र्ज़ है अगर कोई ख़ूब ज़ोर से लब बन्द कर ले कि उस में का कुछ हिस़्सा छुप गया कि उस पर पानी न पहुँचा न कुल्ली की कि धुल जाता तो वुज़ू न हुआ। हाँ वह हिस़्सा जो आ़म तौ़र पर आ़दत में मुँह बन्द करने से ज़ाहिर नहीं होता उस का धोना फ़र्ज़ नहीं।

मसअ्ला :– रूख़सार (गाल)और कान के बीच जो जगह है जिसे कन्पटी कहते हैं उसका धोना फ़र्ज़ है। हाँ उस हिस़्से में जितनी जगह दाढ़ी के घने बाल हों वहाँ बालों का और जहाँ बाल न हों तो जिल्द का धोना फ़र्ज़ है।

मसअ्ला :– नथ का सूराख़ अगर बन्द न हो तो उस में पानी बहाना फ़र्ज़ है अगर तंग हो तो पानी डालने में नथ को हिलाये वरना ज़रूरी नहीं ।

मसअला :– आँखों के ढेले और पपोटों की अन्दरूनी सतह का धोना कुछ ज़रूरी नहीं बल्कि न चाहिये कि उस से नुक्सान है।

मसअला :– मुँह धोते वक्त आँखें जोर से मींच लीं कि पलक के करीब एक हल्की सी तहरीर बन्द हो गई और उस पर पानी न बहा और वह आदत में बन्द करने से ज़ाहिर रहती हो तो वुज़ू हो जायेगा मगर ऐसा करना नहीं चाहिये और अगर कुछ ज़्यादा धुलने से रह गया तो वुज़ू न होगा।

मसअला :– आँख के कोए पर पानी बहना फ़र्ज़ है मगर सुर्मे का जिर्म (कण) कोए या पलक में रह गया और वुज़ू कर लिया लेकिन पता न चला और नमाज़ पढ़ ली तो हरज नहीं नमाज़ हो गई और वुज़ू भी हो गया और अगर मालूम है तो उसे छुड़ा कर पानी बहाना ज़रूरी है।

मसअला :– पलक का हर बाल पूरा धोना फ़र्ज़ है और अगर उस में कीचड़ वगैरा कोई सख़्त चीज़ जम गई हो तो उसका छुड़ाना फ़र्ज़ है।

2. हाथ धोना :– (इस हुक्म में कोहनियाँ भी शमिल हैं)

मसअला :– अगर कोहनियों से नाख़ून तक कोई जगह ज़र्रा भर भी धुलने से रह जायेगी तो वुज़ू न होगा।

मसअला :– हर किस्म के जाइज़ नाजाइज़ गहने,छल्ले,अगूँठियाँ,पहुँचियाँ,कंगन,काँच और लाख वगैरा की चूड़ियाँ और रेशम के लच्छे वगैरा अगर इतने हों कि नीचे पानी न बहे तो उतार कर धोना फ़र्ज़ हैं और अगर सिर्फ़ हिलाकर धोने से पानी बह जाता हो तो हिलाना ज़रूरी है और अगर ढीले हों कि बिना हिलाये भी नीचे पानी बह जायेगा तो कुछ ज़रूरी नहीं।

मसअला :– हाथों की आठों घाईयाँ, उंगलियों की करवटों और नाखूनों के अन्दर जो जगह ख़ाली है और कलाई का हर बाल जड़ से नोक तक उन सब पर पानी बह जाना ज़रूरी है। अगर कुछ भी रह गया या बालों की जड़ों पर पानी बह गया और किसी एक बाल पर पानी न बहा तो वुज़ू न हूआ मगर नाखुनों के अन्दरू का मैल मुआफ़ है।

मसअला :– अगर किसी की छह उंगलियाँ हैं तो सबका धोना फ़र्ज़ है और अगर एक मोढ़े पर दो हाथ निकले तो जो पूरा है उसका धोना फ़र्ज़ है और दूसरे का धोना फ़र्ज़ नहीं मुस्तहब है मगर उस दूसरे हाथ का वह हिस्सा जो पूरे हाथ के फ़र्ज़ की जगह से मिला हो उतने का धोना फ़र्ज़ है

3. सर का मसह करना :– (चौथाई सर का मसह करना फ़र्ज़ है।)

मसअला :– मसह करने के लिए हाथ तर होना चाहिये चाहे साथ में तरी उज़्व (अंगो)के धोने के बाद रह गई हो या नये पानी से हाथ तर कर दिया हो।

मसअला :– किसी उज़्व के मसह के बाद जो हाथ में तरी बाकी रह जायेगी वह दूसरे उज़्व के मसह के लिये काफ़ी न होगी।

मसअला :– सर पर बाल न हों तो जिल्द की चौथाई और जो बाल हों तो ख़ास सर के बालों की चौथाई का मसह फ़र्ज़ है और सर का मसह इसी को कहते हैं।

मसअला :– इमामे (पगड़ी) टोपी और दुपठ्ठे पर मसह काफ़ी नहीं हाँ अगर टोपी या दुपट्टा इतना बारीक हो कि तरी फूट कर चौथाई सर को तर कर दे तो मसह हो जायेगा।

मसअला :– सर से जो बाल लटक रहे हों उस पर मसह करने से मसह न होगा।

4. पाँव धोना :– चौथा फ़र्ज़ पाँव को गट्टों समेत एक बार धोना है। छल्ले और पाँव के गहनों का वही हुक्म है जो ऊपर बताया गया है।

मसअला :– कुछ लोग किसी बीमारी की वजह से पाँव के अँगूठों में इतना खींच कर तागा बाँध लेते हैं कि पानी का बहना तो दर किनार तागे के नीचे तर भी नहीं होता उनको इससे बचना ज़रूरी है नहीं तो ऐसी सूरत में वुज़ू नहीं होता

मसअला :– घाईयों और उंगलियों की करवटें,तलवे,एड़ियाँ,कोंचे सबका धोना फ़र्ज़ है।

मसअला :– बदन के जिन आज़ा का धोना फ़र्ज़ है उन पर पानी बह जाना शर्त है। यह ज़रूरी नहीं कि क़स्द और इरादे से पानी बहाये बल्कि अगर बिना इख़्तियार भी उन पर पानी बह जाये (जैसे पानी बरसा और वुज़ू के हर हिस्से से दो दो क़तरे बह गये) तो वुज़ू के हिस्से धुल गये और सर का चौथाई हिस्सा धुल गया तो ऐसी सूरत में वुज़ू की शर्तें पूरी हो गई या कोई आदमी तालाब में गिर पड़ा और वुज़ू के हिस्से पर पानी गुज़र गया तो भी वुज़ू हो गया ।

मसअला :– जिस चीज़ की आदमी को आम या ख़ास तौर पर ज़रूरत पड़ती रहती है अगर उसमें ज़्यादा एहतियात की जाये तो हरज हो तो वह माफ़ है। नाख़ूनों के अन्दर या ऊपर या और किसी धोने की जगह पर उस के लगे रह जाने से अगरचे जिर्मदार हो अगरचे उस के नीचे पानी न पहुँचे अगरचे सख़्त चीज़ हो वुज़ू हो जायेगा जैसे पकाने गूँधने वालों के लिये आटा, रंगरेज, के लिये रंग का जिर्म,औरतों के लिये मेंहदी का जिर्म,लिखने वालों के लिये रोशनाई का जिर्म,मज़दूर के लिए गारा मिट्टी आम लागों के लिये कोए या पलक में सुर्मे का जिर्म इसी तरह बदन का मैल मिट्टी,ग़ुबार मक्खी ,मच्छर की बीट वग़ैरा

मसअला :– किसी जगह छाला था और वह सूख गया उसकी खाल जुदा कर के पानी बहाना ज़रूरी नहीं बल्कि उसी छाले की खाल पर पानी बहा लेना काफ़ी है फिर उस को जुदा कर दिया तो अब भी उस पर पानी बहाना ज़रूरी नहीं।

मसअला :– मछली का सिन्ना अगर वुज़ू के हिस्से पर चिपका रह गया तो वुज़ू न होगा कि पानी उस के नीचे न बहेगा।

वुज़ू की सुन्नतें

मसअला :– वुज़ू पर सवाब पाने के लिये अल्लाह तआला का हुक्म बजा लाने की नियत से वुज़ू करना ज़रूरी है नहीं तो वुज़ू तो हो जायेगा सवाब नहीं होगा।

मसअला :– वुज़ू बिस्मिल्लाह से शुरू करे और अगर वुज़ू से पहले इस्तिन्जा करे तो इस्तिन्जा करने से पहले भी बिस्मिल्लाह कहे मगर पाख़ाने में जाने बदन खोलने से पहले कहे कि नजासत की जगह में पाख़ाने में और बदन खोलने के बाद अल्लाह का ज़िक्र मना है।

मसअला :– वुज़ू शुरू यूँ करे कि पहले हाथों को गट्टों तक तीन–तीन बार धोये अगर पानी बड़े बर्तन में हो और कोई छोटा बर्तन भी नहीं कि उसमें पानी उंडेल कर हाथ धोये तो उसे चाहिये कि बायें हाथ की उंगलियाँ मिलाकर सिर्फ़ उंगलियाँ पानी में डाले हथेली का कोई हिस्सा पानी में न पड़े और पानी निकाल कर दाहिना हाथ गट्टे तक तीन बार धोये फिर दाहिने हाथ को जहाँ तक धोया है बिला तकल्लुफ़ पानी में डाल सकता है और उस से पानी निकाल कर बायाँ हाथ धोये यह

उस सूरत में है कि हाथ में कोई नजासत न लगी हो वर्ना बर्तन में हाथ डालना किसी तरह जाइज़ नही अगर नापाक हाथ बर्तन में डालेगा तो पानी नापाक हो जायेगा।

मसअ्ला :– अगर छोटे बर्तन में पानी है या पानी तो बड़े बर्तन में है मगर वहाँ कोई छोटा बर्तन भी मौजूद है और उसने बे धोये हाथ पानी में डाल दिया बल्कि उंगली का पोरा या नाख़ून डाला तो वह सारा का सारा पानी वुज़ू के क़ाबिल न रहा जैसा कि हिदाया,फ़तहुल क़दीर और फ़तावा क़ाज़ी ख़ाँ में है क्यूँकि वह पानी मुस्तअ्मल (इस्तेमाल किया हुआ) हो जाता है।

यह उस वक़्त है कि जितना हाथ पानी में पहुँचा उस का कोई हिस्सा बे धुला हो वर्ना अगर पहले हाथ धो चुका और उस के बाद हदस न हुआ (वुज़ू टूटने का सबब न पाया गया) तो जिस क़द्र हिस्सा धुला हुआ हो उतना पानी में डालने से मुस्तअ्मल न होगा अगरचे कोहनी तक हो बल्कि ग़ैर–जुनुब (जिस पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ न हो यानी पाक शख़्स) ने अगर कुहनी तक हाथ धो लिया तो उसके बाद बग़ल तक डाल सकता है कि अब उस के हाथ पर कोई हदस बाक़ी नहीं। हाँ जुनुब कुहनी से ऊपर उतना ही हिस्सा डाल सकता है जितना धो चुका है कि उस के सारे बदन पर हदस है।

मसअ्ला :– जब सोकर उठे तो पहले हाथ धोये इस्तिन्जे से पहले भी और बाद भी कम से कम तीन–तीन बार दाहिने, बायें, ऊपर, नीचे के दाँतों में मिस्वाक करे और हर बार मिस्वाक को धो ले। मिस्वाक न तो बहुत सख़्त हो न बहुत नर्म और मिस्वाक पीलू ज़ैतून या नीम वग़ैरा कड़वी लकड़ी की हो,मेवे या ख़ुश्बूदार फूल के पेड़ की न हो छंगुलिया के बराबर मोटी और ज़्यादा से ज़्यादा एक बालिश्त लम्बी हो और इतनी छोटी भी न हो कि मिस्वाक करने में परेशानी हो जो मिस्वाक एक बालिश्त से ज़्यादा हो उस पर शैतान बैठता है। मिस्वाक जब करने के क़ाबिल न रहे तो उसे दफ़न कर देना चाहिए या किसी ऐसी जगह रख दे कि किसी नापाक जगह न गिरे क्यूँकि एक तो वह सुन्नत के अदा करने का ज़रिआ है इसलिये उसकी ताज़ीम चाहिए। दूसरे यह कि मुसलमानों के थूक को नापाक जगह गिरने से बचाना चाहिए इसीलिए पाख़ाने में थूकने को हमारे उलमा अच्छा नहीं समझते।

मसअ्ला :– मिस्वाक दाहिने हाथ से करना चाहिये और मिस्वाक इस तरह हाथ में ली जाये कि छंगुलिया मिस्वाक के नीचे और बीच की तीन उंगलियाँ ऊपर और अँगूठा सिरे पर नीचे हो और मुट्ठी न बँधे।

मसअ्ला :– दाँतों की चौड़ाई में मिस्वाक करे लम्बाई में नहीं चित लेट कर मिस्वाक न करे।

मसअ्ला :– पहले दाहिने जानिब के ऊपर के दाँत मांझे फिर बाईं जानिब के ऊपर के दाँत फिर दाहिनी तरफ़ के नीचे के दाँत और फिर बाईं तरफ़ के नीचे के।

मसअ्ला :– जब मिस्वाक करना हो तो उसे धो लें और मिस्वाक करने के बाद भी उसे धो डालें, ज़मीन पर पड़ी न छोड़ें बल्कि खड़ी रखें और उसे इस तरह खड़ी रखें कि उस के रेशे वाला हिस्सा ऊपर रहे।

मसअ्ला :– फिर तीन चुल्लू पानी से तीन कुल्लियाँ करे कि हर बार मुँह के अन्दर हर हिस्से पर पानी बह जाये और रोज़ादार न हो तो ग़रारा करे।

मसअ्ला :– फिर तीन चुल्लू से तीन बार नाक में पानी चढ़ाये कि जहाँ तक नर्म गोश्त होता है हर बार उस पर पानी बह जाये और रोज़ादार न हो तो नाक की जड़ तक पानी पहुँचाये और यह

दोनों काम दाहिने हाथ से करे फिर बायें हाथ से नाक साफ़ करे ।

मसअ्ला :– मुँह धोते वक़्त दाढ़ी का ख़िलाल करे अगर एहराम बाँधे हुए हो तो ख़िलाल न करे ख़िलाल का तरीक़ा यह होगा कि उंगलियों को गले की तरफ़ से दाख़िल करे और सामने निकाले।

मसअ्ला :– हाथ पाँव की उंगलियों का ख़िलाल करे पाँव की उंगलियों का ख़िलाल बायें हाथ की छँगुलिया से करे इस तरह कि दाहिने पाँव में छँगुलिया से शुरू करे और अँगूठे पर ख़त्म करे और बायें पाँव में अँगूठे से शुरू कर के छंगुलिया पर ख़त्म करे और अगर बे ख़िलाल किये पानी उंगलियों के अन्दर से न बहता हो तो ख़िलाल फ़र्ज़ है यानी पानी पहुँचाना अगरचे बे ख़िलाल हो जैसे घाईयाँ खोलकर ऊपर से पानी डाल दिया या पाँव हौज़ में डाल दिया।

मसअ्ला :– वुज़ू के जो हिस्से धोने के हैं। उनको तीन–तीन बार हर मरतबा इस तरह धोये कि कोई हिस्सा न रह जाये नहीं तो सुन्नत अदा न होगी।

मसअ्ला :– अगर यूँ किया कि पहली मरतबा कुछ धुल गया और दूसरी बार कुछ और तीसरी बार कुछ कि तीनों बार में पूरा उज़्व धुल गया तो यह एक ही बार धोना होगा इस तरह वुज़ू तो हो जायेगा लेकिन सुन्नत के ख़िलाफ़ है क्योंकि इसमें चुल्लूओं की गिनती नहीं बल्कि पूरा उज़्व धोने की गिनती है कि उज़्व का धोना तीन बार हो अगरचे कितने ही चुल्लूओं से धोना पड़े।

मसअ्ला :– पूरे सर का एक बार मसह करना और कानों का मसह करना और तरतीब कि पहले मुँह फिर हाथ धोये फिर सर का मसह करे फिर पाँव धोये अगर तरतीब के ख़िलाफ़ वुज़ू किया था और कोई सुन्नत छोड़ गया तो वुज़ू तो हो जायेगा लेकिन ऐसा करना बुरा है और अगर सुन्नते मुअक्कदा के छोड़ने की आदत डाली तो गुनहगार है और दाढ़ी के जो बाल मुँह के दायरे से नीचे हैं उनका मसह सुन्नत और धोना मुस्तहब है और वुज़ू के हिस्सों को इस तरह धोना कि पहले वाला उज़्व सूखने न पाये।

वुज़ू के मुस्तहब्बात

बहुत से वुज़ू के मुस्तहब भी ऊपर ज़िक्र हो चुके और जो कुछ बाक़ी रह गये हैं वह लिखे जाते हैं।

मसअ्ला :– दाहिनी तरफ़ से शुरू करे मगर दोनों रुख़सार कि इन दोनों को साथ ही साथ धोयेंगे ऐसे ही दोनों कानों का मसह साथ ही साथ होगा। हाँ अगर किसी के एक ही हाथ हो तो मुँह धोने और मसह करने में भी दाहिने से पहल करे। उंगलियों की पुश्त से गर्दन का मसह करना। वुज़ू करते वक़्त क़ाबे की तरफ़ ऊँची जगह बैठना। वुज़ू का पानी पाक जगह गिराना। पानी गिरते वक़्त वुज़ू के हिस्सों पर हाथ फेरना ख़ास कर जाड़े में। पहले तेल की तरह पानी चुपड़ लेना ख़ास कर जाड़े में। अपने हाथ से पानी भरना। दूसरे वक़्त के लिये पानी भर कर रखना। वुज़ू करने में बग़ैर ज़रूरत दूसरे से मदद न लेना। अँगूठी पहने हुए हो तो उसको हिलाना जब कि ढीली हो ताकि उसके नीचे पानी बह जाये। अगर ढीली न हो तो उसका हिलाना फ़र्ज़ है। कोई मजबूरी न हो तो वक़्त से पहले वुज़ू करना। इत्मिनान से वुज़ू करना। आम लोगों में जो मशहूर है कि वुज़ू जवानों की तरह और नमाज़ बूढ़ों की तरह यानी वुज़ू जल्दी करे लेकिन ऐसी जल्दी न चाहिए कि जिससे कोई सुन्नत या मुस्तहब छूट जाये। कपड़ों को टपकते क़तरों से महफ़ूज़ रखना। कानों का मसह

करते वक़्त भीगी छंगुलियाँ कानों के सूराख़ में दाख़िल करना। जो आदमी पूरे तौर पर वुज़ू करता हो कि कोई जगह बाक़ी न रह जाती हो उसे कोयों ,टख़नों, एड़ियों,तल्वों,कूंचों,घाईयों और कुहनियों का ख़ास़ तौर पर ख़्याल रखना मुस्तह़ब है और बे–ख़्याली करने वालों को तो फ़र्ज़ है कि अकसर देखा गया है कि यह जगहें सूखी रह जाती हैं और यह बात बे–ख़्याली से होती है और ऐसी बे–ख़्याली ह़राम है और इन बातों का ख़्याल रखना फ़र्ज़ है। वुज़ू का बर्तन मिट्टी का हो ताँबे वग़ैरा का हो तो भी ह़रज नहीं मगर उस पर क़लई हो। अगर वुज़ू का बर्तन लोटे की क़िस्म से हो तो उसे बाईं त़रफ़ रखे और तश्त की क़िस्म से हो तो दाहिनी त़रफ़। आफ़ताबे (लोटा) में दस्ता लगा हो तो दस्ते को तीन बार धो लें और हाथ उस के दस्ते पर रखे। दाहिने हाथ से कुल्ली करना और नाक में पानी डालना। बायें हाथ से नाक साफ़ करना। बायें हाथ की छंगुलिया नाक में डालना। पाँव को बायें हाथ से धोना। मुँह धोने में माथे के सिरे पर ऐसा फैला कर पानी डालें कि ऊपर का भी कुछ हिस्सा धुल जाये।

तम्बीह :– बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि नाक,आँख या भवों पर चुल्लू डाल कर सारे मुँह पर हाथ फेर लेते हैं और यह समझते हैं कि मुँह धुल गया ह़ालाँकि पानी का ऊपर चढ़ना कोई मअ़नी नहीं रखता इस त़रह धोनें में मुँह नहीं धुलता और वुज़ू नहीं होता। दोनों हाथों से मुँह धोना। हाथ पाँव धोने में उंगलियों से शुरू करना। चेहरे और हाथ पाँव की रौशनी वसीअ़ करना यानी जितनी जगह पर पानी बहाना फ़र्ज़ है उसके आस पास कुछ बढ़ाना जैसे आधे बाज़ू और आधी पिंडली तक धोना सर में मसह का मुस्तह़ब त़रीक़ा यह है कि अँगूठे और कलिमे की उंगली के सिवा एक हाथ की बाक़ी तीन उंगलियों का सिरा दूसरे हाथ की तीन उंगलियों के सिरे से मिलायें और पेशानी के बाल या खाल पर रख कर गुद्दी तक इस त़रह ले जायें कि हथेलियाँ सर से जुदा रहें वहाँ से हथेलियों से मसह करता वापस लाये और कलिमे की उंगली के पेट से कान के अन्दरूनी हिस्से का मसह करें और अँगूठे के पेट से कान की बैरूनी सतह (बाहरी हिस्सा) का और उंगलियों की पुश्त से गर्दन का मसह करना। हर उज़्व धोकर उस पर हाथ फेर देना चाहिए कि बूँदें बदन या कपड़े पर न टपकें, ख़ास़ कर जब मस्जिद में जाना हो कि क़तरों का मस्जिद में टपकना मकरूहे तह़रीमी है। बहुत भारी बर्तन से कमज़ोर आदमी वुज़ू न करे क्योंकि बे एह़तियाती से पानी गिरेगा। ज़ुबान से कह लेना कि वुज़ू करता हूँ। हर उ़ज़्व के धोते या मसह करते वक़्त वुज़ू की नियत का ह़ाज़िर रहना।

वुज़ू की दुआ़ये

वुज़ू में जो दुआ़यें पढ़ी जाती हैं उनका पढ़ना मुस्तह़ब है नीचे मुस्तह़ब दुआ़यें लिखी जाती हैं।

1 . **वुज़ू करते वक़्त बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ें** और वह यह है :–

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

तर्जमा :– "अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रह़मत वाला।"और दुरूद शरीफ पढ़े जैसे:–

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِہٖ وَ اَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ ۔

अल्लाह हुम्म स़ल्लि अ़ला सय्यदिना व मौलाना मुह़म्मदिव व आलिही व अस़ह़ाबिही अजमईन।

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह तू रह़मत नाज़िल फ़रमा हमारे सरदार और हमारे मौला मुह़म्मद(स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम) पर और उनकी आल,असह़ाब सब पर।"

2 . **दूसरा कलिमा पढ़े** और बिस्मिल्लाह,दुरूद शरीफ़ और यह कलिमा हाथ धोते वक़्त पढ़ना मुस्तह़ब

है दूसरा कलिमा यह है:-

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

وَ اَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ.

अश्हदु अल लाइलाह इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू व अश्हदु अन्न सय्यदिना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू।

तर्जमा :– "मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं वह अकेला है उसका कोई शरीक नहीं और गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार मुहम्मद (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) उसके बन्दे और रसूल हैं।

3. कुल्ली करते वक़्त यह दुआ पढ़ें ।:– اَللّٰهُمَّ اَعِنِّیْ عَلٰی تِلَاوَتِ الْقُرْاٰنِ وَ ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ
अल्लाहुम्मा अइन्नी अला तिलावतिलकुर्आनि व ज़िकरिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका।
तर्जमा :– " ऐ अल्लाह तू मेरी मदद कर कि क़ुर्आन की तिलावत और तेरा ज़िक्र और शुक्र करूँ और तेरी अच्छी इबादत करूँ। "

4. नाक में पानी डालते वक़्त यह दुआ पढ़े :– اَللّٰهُمَّ اَرِحْنِیْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَلَا تُرِحْنِیْ رَائِحَةَ النَّارِ.
अल्लाहुम्मा अरिहनी राइहतलजन्नति वला तुरिहनी राइहतन्नारि।
तर्जमा :– "ऐ अल्लाए तू मुझे जन्नत की खुशबू सुंघा और जहन्नम की बू से बचा"

5. और मुँह धोते वक़्त यह दुआ पढ़े :– اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِیْ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّ تَسْوَدُّ وُجُوْهٌ
अल्लाहुम्म बय्यिद वजही यौमा तबयद्दु वजूहुन व तसवद्दु वजूहुन।
तर्जमा :– " ऐ अल्लाह तू मेरे चेहरे को उजला कर,जिस दिन कि कुछ मुँह सफ़ेद होंगे और कुछ सियाह होंगे।"

6. सीधा हाथ धोते वक़्त यह हुआ पढ़े :– اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِیْ كِتَابِیْ بِيَمِيْنِیْ وَ حَاسِبْنِیْ حِسَابًا يَّسِيْرًا
"अल्लाहुम्म अअ्तिनी किताबी बियमीनी व हासिबनी हिसाबन यसीरन"।
तर्जमा :– " ऐ अल्लाह मेरा नामए आमाल दाहिने हाथ में दे और मुझ से आसान हिसाब कर।"

7. बायाँ हाथ धोते वक़्त यह दुआ पढ़े :– اَللّٰهُمَّ لَا تُعْطِنِیْ كِتَابِیْ بِشِمَالِیْ وَلَا مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِیْ
अल्लाहुम्म ला तुअ्तिनी किताबी बिशिमाली वला मिन वराइ ज़हरी।
तर्जमा :– " ऐ अल्लाह मेरा नामए आमाल न बायें हाथ में दे और न पीठ के पीछे से"।

8. सर का मसह करते वक़्त यह दुआ पढ़े :– اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِیْ تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ
अल्लाहुम्म अज़िल्लनी तहता अर्शिका यौमा ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्ल अर्शिका।
तर्जमा :– " ऐ अल्लाह तू मुझे अपने अर्श के साये के साये में रख जिस दिन तेरे अर्श के साए के सिवा कहीं साया न होगा।

9. कानों का मसह करते वक़्त यह दुआ पढ़े :– اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ
अल्लाहुम्मजअलनी मिनल्लज़ीना यसतमिऊनल कौला फयत्तबिऊना अहसनहू।
तर्जमा :– " ऐ अल्लाह तू मुझे उनमें कर दे जो बात सुनते हैं और अच्छी बात पर अमल करते हैं"।

10. गर्दन का मसह करते वक़्त यह दुआ पढ़ें :– اَللّٰهُمَّ اَعْتِقْ رَقَبَتِیْ مِنَ النَّارِ
अल्लाहुम्मअअ्तिक रकबती मिनन्नारि।

तर्जमा : – " ऐ अल्लाह मेरी गर्दन आग से आज़ाद कर।

11. **दाहिना पाँव धोते वक़्त यह दुआ पढ़े :–** اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِىْ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ الْاَقْدَامُ

अल्लाहुम्म सब्बित क़दमी अलस्सिराति यौमा तज़िल्लुलअक़दामु।

तर्जमा :–" ऐ अल्लाह मेरा क़दम पुलसिरात पर साबित रख जिस दिन कि उस पर क़दम फिसलें"।

12. **बायाँ पाँव धोते वक़्त यह दुआ पढ़े :–** اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ذَنْبِىْ مَغْفُوْرًا وَّ سَعْيِىْ مَشْكُوْرًا وَّ تِجَارَتِىْ لَنْ تَبُوْرَ

अल्लाहुम्मजअ़ल ज़मबी मग़फ़ूरन व सअ़ई मश्कूरन व तिजारती लन तबूरा.

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह मेरे गुनाह को बख़्श दे और मेरी कोशिश कामयाब कर और मेरी तिजारत हलाक न हो" या सब जगह दुरूद शरीफ़ ही पढ़े और यही अफ़ज़ल है और वुज़ू से फ़ारिग़ होते ही यह दुआ पढ़े। :– اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَ اجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

अल्लाहुम्मजअ़लनी मिनत्तव्वाबीना वजअ़लनी मिनलमुततहहिरीना

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह तू मुझे तौबा करने वालों और पाक लोगों में कर दे"।

और बचा हुआ पानी खड़े होकर पी ले कि इस से मर्ज़ दूर होते हैं और आसमान की तरफ़ मुँह करके यह कहे।

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ

सुब्हानका अल्लाहुम्म व बिहम्दिका अश्हदु अलला इलाह इल्ला अन्ता असतग़फ़िरुका व अतूबु इलैक

तर्जमा :– " तू पाक है ऐ अल्लाह और मैं तेरी हम्द करता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई मअ़बूद नहीं तुझ से मुआफ़ी चाहता हूँ और तेरी तरफ़ तौबा करता हूँ"

वुज़ू के हिस्से बिला ज़रूरत न पोंछें और बिला ज़रूरत न सुखायें। कुछ भीगा रहने दें कि यह नमी क़यामत के दिन नेकी के पल्ले में रखी जायेगी। हाथ न झटकें। वुज़ू के बाद मियानी पर पानी छिड़क लें कि यह वसवसे से बचने का ज़रिया है। मकरूह वक़्त न हो तो दो रकअ़त नफ़्ल नमाज़ पढ़े इस नमाज़ को तहीयतूल वुज़ू कहते हैं।

वुज़ू में मकरूह चीज़ें

1. औरत के वुज़ू या गुस्ल के बचे हुए पानी से वुज़ू करना। 2. वुज़ू के लिये नजिस जगह(नापाक जगह) बैठना 3. नजिस जगह वुज़ू का पानी गिराना 4. मस्जिद के अन्दर वुज़ू करना 5 वुज़ू के किसी उज़्व से लोटे वग़ैरा में पानी का क़तरा टपकाना 6. पानी में रेंठ या खंखार डालना 7. क़िब्ले की तरफ़ थूक या खंखार डालना या कुल्ली करना 8. बे ज़रूरत दुनिया की बात करना 9. ज़्यादा पानी ख़र्च करना 10. इतना कम ख़र्च करना कि सुन्नत अदा न हो 11. मुँह पर पानी मारना। 12. मुँह पर पानी डालते वक़्त फूँकना 13. एक हाथ से मुँह धोना कि यह राफ़ज़ियों और हिन्दुओं का तरीक़ा है 14. गले का मसह करना 15. बायें हाथ से कुल्ली करना या नाक में पानी डालना। 16. दाहिने हाथ से नाक साफ़ करना 17. अपने वुज़ू के लिये कोई लोटा वग़ैरा ख़ास कर लेना। 18. तीन नये पानियों से तीन बार सर का मसह करना 19. जिस कपड़े से इस्तिन्जे का पानी ख़ुश्क किया हुआ हो उस से वुज़ू के हिस्से पोंछना 20. धुप के गर्म पानी से वुज़ू करना 21 होंट या आँखे ज़ोर से बंद करना और अगर कुछ सूखा रह जाये तो वुज़ू न होगा। हर सुन्नत का छोड़ना मकरूह है ऐसे ही हर मकररूह का छोड़ना सुन्नत है।

वुज़ू के मुतफ़र्रिक (विभिन्न) मसाइल

मसअ्ला :– अगर वुज़ू न हो तो नमाज़ ,सजदए तिलावत,नमाज़े जनाजा और क़ुर्आन शरीफ छूने के लिए वुज़ू करना फ़र्ज़ है।

मसअ्ला :– तवाफ के लिए वुज़ू वाजिब है।

मसअ्ला :– गुस्ले जनाबत से पहले और जुनुब को खाने, पीने, सोने और अज़ान, इकामत और जुमा और अरफा में ठहरने और सफ़ा और मरवा के दरमियान सई के लिए वुज़ू कर लेना सुन्नत है।

मसअ्ला :– सोने के लिए और सोने के बाद और मय्यत के नहलाने या उठाने के बाद और सोहबत से पहले और जब गुस्सा आ जाये उस वक़्त और ज़बानी क़ुर्आन शरीफ़ पढ़ने पढ़ाने, और जुमा ईद बक़रईद के अलावा बाक़ी खुतबों के लिए,दीनी किताबों को छूने के लिये,सत्रे गलीज यानी पेशाब पख़ाने की जगह को छूने के बाद,झुट बोलने,गाली देने, बुरी बात कहने ,काफ़िर से बदन छू जाने, सलीब या बुत छूने,कोढ़ी या सफ़ेद दाग़ वाले से छू जाने, बग़ल खुजलाने से जब कि उसमें बदबू हो,ग़ीबत करने, कहकहा लगाने यानी ज़ोर से हँसने से,लग्व यानी बेहूदा अशआर पढ़ने,ऊँट का गोश्त खाने, किसी औरत के बदन से अपना बदन बिना रूकावट के छू जाने से और वुज़ू वाले आदमी के नमाज पढ़ने के लिए इन सब सूरतों में वुज़ू करना मुस्तहब है।

मसअ्ला :– जब वुज़ू जाता रहे वुज़ू कर लेना मुस्तहब है।

मसअ्ला :– नाबालिग़ पर वुज़ू फ़र्ज़ नहीं है मगर उन्हें वुज़ू कराना चाहिए ताकि आदत हो और वुज़ू करना आ जाये और वुज़ू के मसअ्लों से आगाह हो जायें।

मसअ्ला :– लोटे की टोटी न ऐसी तंग हो कि पानी मुश्किल से गिरे और न ऐसी फ़ैली हुई हो कि ज़रूरत से ज़्यादा गिर जाये। बल्कि दरमियानी हो।

मसअ्ला :– चुल्लू में पानी लेते वक़्त ध्यान रखें कि पानी न गिरे कि फुजूल ख़र्ची होगी। ऐसा ही जिस काम के लिए चुल्लू में पानी लें उसका अन्दाज़ रखें ज़रूरत से ज़्यादा न लें जैसे नाक में पानी डालने के लिये आधा चुल्लू काफ़ी है तो पूरा चुल्लू न लें कि फुजूल ख़र्ची है।

मसअ्ला :– हाथ, पाँव, सीना और पीठ पर बाल हों तो हड़ताल वग़ैरा से साफ़ कर डालें या तरशवा लें नहीं तो पानी ज़्यादा ख़र्च होगा।

फ़ाइदा :– वलहान एक शैतान का नाम है जो वुज़ू में वस्वसा डालता है उसके वस्वसे से बचने के लिए बेहतरीन तदबीरें यह हैं :–

1. अल्लाह तआ़ला की तरफ़ रुजू यानी तवज्जोह करना।
2. और यह पढ़ना चाहिए :– أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

तर्जमा :–"मैं अल्लाह की पनाह माँगता हूँ शैतान मरदूद से"। 3.और यह पढ़ना चाहिए وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

तर्जमा :– "और नहीं है कोई ताक़त और कुव्वत अल्लाह के सिवा।"4.और सूरए नास पढ़ना चाहिए

5. और यह पढ़ना चाहिए :– اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

तार्जम :–"मैं ईमान लाया अल्लाह और उसके रसूल पर।" 6 .और यह पढ़ना चाहिए

هُوَ الْاَوَّلُ وَ الْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

तर्जमा :–"वही अव्वल है वही आख़िर है वह ज़ाहिर है और बातिन (छिपा हुआ) है और वह हर चीज़ का जानने वाला है। 7. और यह पढ़ना चाहिए :–

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ وَ مَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ

तर्जमा :– "अल्लाह पाक है मालिक और ख़ल्लाक़ है अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हें ले जाये और एक नई मख़लूक़ ले आये और यह अल्लाह पर कुछ दुश्वार नहीं।"

इन दुआओं के पढ़ने से वसवसा जड़ से कट जायेगा और वसवसे का बिल्कुल ख़्याल न करने से भी वसवसा दूर हो जाता है यानी शैतान जो बार बार दिल में वसवसे डाले तो जब तक यक़ीन न हो उन वसवसों की तरफ़ ध्यान न दे,यूँ समझे कि कोई पागल बक रहा है। इस से भी वसवसा कट जाता है।

वुज़ू तोड़ने वाली चीज़ें का बयान

मसअ्ला :– पेशाब, पाख़ाना वदी मजी मनी कीड़ा और पथरी मर्द या औरत के आगे पीछे से निकलें तो वुज़ू जाता रहेगा।

मसअ्ला :–अगर मर्द का ख़तना नहीं हुआ है और सूराख़ से इन चीजों में से कोई चीज़ निकली मगर अभी ख़तने की खाल के अन्दर ही है जब भी वुज़ू जाता रहा।

मसअ्ला :– यूँही औरत के सूराख़ यानी पेशाब की जगह से कोई नजासत (नापाकी)निकली मगर ऊपर की खाल के अन्दर है फिर भी वुज़ू जाता रहेगा।

मसअ्ला :– औरत के आगे से ऐसी रतूबत जिसमें ख़ून की मिलावट न हो उससे वुज़ू नहीं टुटता अगर कपड़े में लग जाये तो कपड़ा पाक है।

मसअ्ला :– मर्द या औरत के पीछे से अगर हवा निकले तो वुज़ू टूट जाता है।

मसअ्ला :– मर्द या औरत के आगे से हवा निकली या पेट में ऐसा ज़ख़्म हो गया कि झिल्ली तक पहुँचा उससे हवा निकली तो वुज़ू नहीं जायेगा।

मसअ्ला :– औरत के दोनों मक़ाम फ़ट कर एक हो गये तो उसे जब हवा निकले चाहे आगे से ही निकलने का शुब्हा हो फ़िर भी इहतियात यही है कि वुज़ू कर ले।

मसअ्ला :– अगर मर्द ने पेशाब के सूराख़ में कोई चीज़ डाली फ़िर वह उस में से लौट आई तो वुज़ू नहीं जायेगा

मसअ्ला :– अगर हुक़ना (ऐनिमा) लिया और दवा बाहर आ गई या कोई चीज़ पाख़ाने की जगह में डाली और वह बाहर निकल आई तो वुज़ू टूट जायेगा।

मसअ्ला :– मर्द अगर ज़कर (लिंग) के सूराख़ में रूई रखे और रूई ऊपर से सूखी है मगर जब निकाली तो तर निकली ऐसी सूरत में रूई निकालते ही वुज़ू टुट जायेगा। इसी तरह औरत का हाल है कि उसने पेशाब की जगह में कपड़ा रखा और ऊपर से कोई तरी नहीं लेकिन जब कपड़े को बाहर निकाला तो कपड़ा ख़ून या किसी और नजासत से तर निकला तो अब वुज़ू टुट जायेगा।

मसअ्ला :– ख़ून, पीप या पीला पानी कहीं से निकल कर बहा और उस बहने में ऐसी जगह पहुँचने की सलाहियत थी जिसका वुज़ू या गुस्ल में धोना फ़र्ज़ है तो वुज़ू जाता रहा अगर सिर्फ़ चमका या उभरा और बहा नहीं जैसे सुई की नोंक या चाकू का किनारा लग जाता है और उभर या चमक

जाता है या ख़िलाल किया या मिस्वाक की या उंगली से दांत मांझा या दाँत से कोई चीज़ काटी उस पर खून का असर पाया या नाक में उंगली डाली उस पर खून की सुर्खी आगई मगर वह खून बहने के लाइक़ नहीं था तो वुज़ू नहीं टूटा और अगर बहा ऐसी जगह बहकर नहीं आया जिसका धोना फ़र्ज़ हो तो वुज़ू नहीं टूटा जैसे आँख में दाना था और टूट कर अन्दर ही फैल गया बाहर नहीं निकला या कान के अन्दर दाना टूटा और उसका पानी सूराख़ से बाहर न निकला तो इन सूरतों में वुज़ू बाक़ी रहेगा।

मसअ्ला :– ज़ख़्म में से खून वग़ैरा निकलता रहा और यह बार बार पोंछता रहा कि बहने की नौबत न आई तो ध्यान करे कि अगर न पोंछता तो बह जाता या नहीं अगर बह जाता तो वुज़ू टूट गया वर्ना नहीं ऐसे ही अगर मिट्टी या राख डाल कर सुखाता रहा तो उसका भी वही हुक्म है।

मसअ्ला :–फ़ोड़ा या फुन्सी निचोड़ने से खून बहा अगरचे ऐसा हो कि न निचोड़ता तो न बहता जब भी वुज़ू जाता रहेगा

मसअ्ला :– आँख ,कान,नाफ़,और छाती वग़ैरा में दाना या नासूर या कोई बीमारी हो इन वजहों से जो आँसू या पानी बहे तो वुज़ू टूट जायेगा।

मसअ्ला :– ज़ख़्म से या नाक कान या मुँह से कीड़ा या ज़ख़्म से कोई गोश्त का टूकड़ा (जिस पर खून पीप या कोई और चीज़ जो बहने वाली न थी) कट कर गिरी तो वुज़ू नहीं टूटेगा।

मसअ्ला :– कान में तेल डाला था और एक दिन बाद कान या नाक से निकला तो वुज़ू नहीं टूटेगा ऐसे ही अगर मुँह से निकला वुज़ू नहीं टुटेगा। हाँ अगर यह मालूम हो कि दिमाग़ से उतर कर मेदे में गया और मेदे से आया है तो वुज़ू टूट जायेगा।

मसअ्ला :– छाला नोच डाला अगर उसमें का पानी बह गया तो वुज़ू जाता रहा वरना नहीं।

मसअ्ला :– थूक के साथ अगर मुँह से खून निकला अगर ,खून थूक से ज्यादा है तो वुज़ू टुट जायेगा वरना नहीं ।

फ़ायदा :– थूक के ज़्यादा और कम होने की पहचान यह है कि थूक का रंग अगर सुर्ख़ हो जाये तो खून ज़्यादा समझा जाएगा और अगर पीला रहे तो कम।

मसअ्ला : – अगर जोंक या बड़ी किल्ली ने खून चूसा और इतना पी लिया कि अगर खुद निकलता तो बह जाता तो वुज़ू टूट जाएगा वर्ना नहीं

मसअ्ला :– अगर छोटी किल्ली, जूँ ,खटमल, मच्छर और पिस्सू ने खून चूसा तो वुज़ू नहीं जायेगा।

मसअ्ला :– अगर नाक साफ़ की और उसमें से जमा हुआ खून निकला तो वुज़ू नहीं टूटेगा।

मसअ्ला :– नारू यानी वह बीमारी जिसमें बदन से धागे की तरह एक चीज़ निकलती है उस से रतूबत बहे तो वुज़ू जाता रहेगा और डोरा निकला तो वुज़ू बाक़ी है।

मसअ्ला :– अंधे की आँखों से मर्ज़ की वजह से जो रतूबत निकलती है उस से वुज़ू टूट जाता है।

मसअ्ला :– खून, पानी, खाना या पित की मुँह भर कै हो तो उससे वुज़ू टूट जाता है।

फ़ाइदा :– मुँह भर कर कै का मतलब यह है कि उसका आसानी से रुकना मुश्किल हो।

मसअ्ला :– बलग़म की कै अगर ज़्यादा भी हो तो उस से वुज़ू नहीं टूटेगा ।

मसअ्ला :– अगर खून से थूक ज़्यादा न हो तो बहते खून की कै से वुज़ू टूट जाता है और जमा

हुआ खून है तो वुजू नहीं जाएगा जब तक मुँह भर कर न हो।

मसअ्ला :– पानी पिया और पानी मेदे में उतर गया और वही पानी साफ़ कै में आया अगर मुँह भर है तो वुजू टूट जायेगा और वह पानी भी नजिस है और अगर सीने तक पहुँचा था और उच्छू (फन्दा) लगा और निकल आया तो न वह पानी नापाक है और न उससे वुजू जायेगा।

मसअ्ला :– अगर थोड़ी–थोड़ी कई बार कै हुई और सबको मिलाकर मुँह भर है तो अगर एक ही मतली से है तो वुजू टूट जायेगा और अगर मतली जाती रही और उसका असर दूर हो गया और फिर नये सिरे से मतली शुरू हुई और कै आई और दोनों मर्तबा की अलग–अलग मुँह भर नहीं मगर दोनों जमा की जायें तो मुँह भर हो जाये तो इससे वुजू नहीं टूटेगा। फिर अगर यह कै एक ही जगह में हो तो वुजू कर लेना बेहतर है।

मसअ्ला :– कै में सिर्फ़ कीड़े या साँप निकलें तो वुजू नहीं टूटेगा और अगर उसके साथ कुछ पानी भी है तो देखा जायेगा कि रतूबत या पानी मुँह भर है या नहीं अगर मुँह भर है तो वुजू टूट जायेगा वरना नहीं।

मसअ्ला :– सो जाने से वुजू जाता रहता है जब कि दोनों सुरीन (चूतड़)खूब न जमें हों और न ऐसी हालत पर सोया हो जिस से गाफ़िल होकर नींद न आ सके जैसे उकरू बैठ कर सोया या चित या पट या करवट लेट कर या एक कोहनी पर तकिया लगा कर या बैठ कर सोया मगर एक करवट को झुका हुआ कि एक या दोनों सुरीन उठे हुए हों या नंगी पीठ पर सवार है और जानवर ढाल पर उतर रहा है या दो ज़ानू बैठा और पेट रानों पर रखा कि दोनों सुरीन जमे न रहें या चार ज़ानू है और सर रानों या पिंडलियों पर है या जिस तरह औरतें सजदा करती हैं उसी हालत पर सो गया इन सब सूरतों में वुज़ू जाता रहेगा और अगर नमाज़ में इन सूरतों में से किसी सूरत पर जान बूझ कर सोया तो वुज़ू भी गया और नमाज़ भी गई वुज़ू कर के सिरे से नियत बाँधे और अगर बिला इरादा सोया तो वुज़ू कर के जिस रुक्न में सोया था वहाँ से अदा करेगा और नमाज़ का दोबारा पढ़ना बेहतर है।

मसअ्ला : – दोनों सुरीन (चूतड़)ज़मीन या कुर्सी या बैंच पर हैं और दोनों पाँव एक तरफ़ फैले हुये या दोनों सुरीन पर बैठा है और घुटने खड़े हैं और हाथ पिंडलियों को घेरे हुए हों चाहे ज़मीन पर हों,दो ज़ानू सीधा बैठा हो या चार ज़ानू पालथी मारे या ज़ीन पर सवार हो या नंगी पीठ पर सवार हो मगर जानवर चढ़ाई पर चढ़ रहा है या रास्ता बराबर है या खड़े खड़े सो गया या रुकूअ् की सूरत पर या मर्दों के मसनून सजदे की शक्ल पर तो इन सूरतों में वुजू नहीं जायेगा और अगर नमाज़ में यह सूरतें पेश आईं तो न वुजू जाये न नमाज़,हाँ अगर पूरा रुक्न,सोते ही में अदा किया तो उसका लौटाना ज़रूरी है और अगर जागते में शुरू किया फिर सो गया तो अगर जागते में रुक्न के पूरा होने की मिक़दार अदा कर चुका है तो वही काफ़ी है नहीं तो पूरा कर लें।

मसअ्ला :– गर्म तन्दूर के किनारे पांव लटकाये बैठ कर सो गया तो वुजू कर लेना मुनासिब है।

मसअ्ला :– बीमार लेट कर नमाज़ पढ़ रहा था अगर नींद आ गई तो वुजू टुट जायेगा।

मसअ्ला :– ऊँघने या बैठे–बैठे झोकें लेने से वुजू नहीं जाता

मसअ्ला :– नमाज़ वग़ैरा के इन्तिज़ार में कभी कभी नींद आ जाती है और नमाज़ी नींद को दूर

करना चाहता है तो कभी ऐसा ग़ाफ़िल हो जाता है कि उस वक़्त जो बातें हुईं उनकी उसे बिल्कुल ख़बर नहीं बल्कि दो तीन आवाज़ों में उसकी आँख खुली और अपने ख़्याल में वह यह समझता है कि सोया न था तो उसके इस ख़्याल का एअ्तिबार नहीं अगर कोई मोअ्तबर आदमी कहे कि तू ग़ाफ़िल था यहाँ तक कि तू ऐसा ग़ाफ़िल था कि तुझे पुकारा गया लेकिन तूने जवाब नहीं दिया या बातें पूछी जायें और वह न बता सके तो उस पर वुज़ू लाज़िम है।

फ़ाइदा :– आम्बियाए किराम अ़लैहिमुस्सलाम के सोने से उनका वुज़ू नहीं टूटता उनकी आँखें सोती हैं और दिल जागते हैं नींद के अ़लावा दूसरी चीज़ों से नबियों के वुज़ू टूटते हैं या नहीं इस में इख़्तिलाफ़ है। सही यह है कि वुज़ू जाता रहता है यह नजासत की वजह से नहीं बल्कि उनकी अ़ज़मते शान की वजह से है कि उनके फ़ुज़लात तैय्यब और पाक हैं जिनका खाना पीना हमारे लिऐ हलाल और बरकत का सबब हैं।

मसअ्ला :– बेहोशी, जुनून,ग़शी और इतना नशा कि चलने में पाँव लड़खड़ायें इन चीज़ों से वुज़ू टूटता है।

मसअ्ला :– रुकूअ् सजदे वाली नमाज़ में अगर बालिग़ आदमी इतनी ज़ोर से हँसे कि आस पास वाले सुन लें तो वुज़ू टूट जायेगा और नमाज़ भी फ़ासिद हो जायेगी और अगर इतनी ज़ोर से हँसा कि खुद उसने ही सुना और आस पास वाले न सुन सकें तो वुज़ू नहीं जायेगा नमाज़ जाती रहेगी।

मसअ्ला :– और अगर मुस्कुराया कि दाँत निकले और आवाज़ बिल्कुल नहीं निकली तो उस से न तो नमाज़ जायेगी और न वुज़ू टूटेगा।

मसअ्ला :– मुबाशरते फ़ाहिशा यानी मर्द आपने ज़कर (लिंग) को तुन्दी यानी तेज़ी की हालत में औरत की शर्मगाह या किसी मर्द की शर्मगाह से मिलाये या औरत औरत आपस मिलायें जब कि बीच में कोई कपड़ा वग़ैरा न हो तो इस से वुज़ू टूट जाता है।

मसअ्ला :– अगर मर्द ने अपने आले को जिसमें तेज़ी न थी औरत की शर्मगाह से लगाया तो औरत का वुज़ू जाता रहेगा लेकिन मर्द का वुज़ू नहीं जायेगा।

मसअ्ला :– बड़ा इस्तिंजा ढेले से करके वुज़ू किया अब याद आया कि पानी से न किया था और अब इस्तिंजा पानी से करना चाहता है तो अगर इस्तिंजा मसनून तरीक़े से यानी पाँव फ़ैला कर साँस का ज़ोर नीचे को दे कर इस्तिंजा करेगा तो वुज़ू जाता रहेगा और वैसे करेगा तो न जायेगा मगर वुज़ू कर लेना मुनासिब है।

मसअ्ला :– फ़ुड़िया बिल्कुल अच्छी होगई उसकी मुर्दा खाल बाक़ी है जिसमें ऊपर मुँह और अन्दर ख़ला है यानी पीप वग़ैरा न हो अगर उसमें अन्दर पानी भर गया फ़िर दबा कर निकाला तो न वुज़ू जायेगा और न पानी नापाक होगा और अगर उसमें ख़ून वग़ैरा की कुछ तरी बाक़ी है तो वुज़ू भी जायेगा और पानी भी नापाक होगा।

मसअ्ला :– आम लोगों में जो मशहूर है कि घुटना या सत्र (यानी वह जगह जिसका छुपाना फ़र्ज़ है यानी पर्दे की जगह)खुलने या अपना या पराया सत्र देखने से वुज़ू जाता रहता है। इसकी कोई अस्ल नहीं हाँ वुज़ू के आदाब में से है कि नाफ़ से ज़ानू के नीचे तक सब सत्र छुपा हो बल्कि इस्तिंजा के बाद फ़ौरन छुपालेना चाहिए कि बिला ज़रूरत सत्र का खुला रहना मना है और

दूसरों के सामने सत्र खोलना हराम है।

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

जो रतूबत इन्सान के बदन से निकले और उससे वुज़ू न टूटे वह नजिस नहीं जैसे खून कि बह कर न निकले या थोड़ी कै जो मुँह भर न हो वह पाक है।

मसअ्ला :– ख़ारिश या फुड़ियों में जब कि बहने वाली रतूबत न हो और सिर्फ़ चिपक हो अगर कपड़ा उस से बार बार छुकर कितना ही सन जाए पाक है।

मसअ्ला :– सोते में राल जो मुँह से गिरे चाहे वह पेट से आये या बदबूदार हो पाक है और मुर्दे के मुँह से जो पानी बहे वह नजिस है।

मसअ्ला :– आँख दुखते में जो आँसू बहता है नजिस है और उससे वुज़ू टूट जाता है इससे बचना बहुत ज़रूरी है। (इस मसअ्ले से बहुत से लोग ग़ाफ़िल हैं,अकसर देखा गया है कि कुर्ते वग़ैरह से इस हालत में आँख पोंछ लिया करते हैं और अपने ख़्याल में उसे और आँसू के जैसा समझते हैं। यह उनकी सख़्त ग़लती है और अगर ऐसा किया तो कुर्ता वग़ैरा नापाक हो जायेगा)

मसअ्ला :– दूध पीते बच्चे ने दूध डाल दिया अगर यह मुँह भर है तो नजिस है। दिरहम से ज़्यादा जिस जगह लग जाये उसे नापाक कर देगा लेकिन अगर यह दूध मेदे से नहीं आया बल्कि सीने तक पहुँच कर पलट आया तो पाक है।

मसअ्ला :– वुज़ू के दरमियान में अगर रियाह यानी गैस निकले या कोई ऐसी बात हो जिससे वुज़ू जाता है तो नये सिरे से फ़िर वुज़ू करे क्यूँकि वह पहले धुले हुए बे–धूले हो गये।

मसअ्ला :– चुल्लू में पानी लेने के बाद अगर हदस हुआ यानी पेशाब पाखाना या रियाह वग़ैरा चीज़ें निकलीं तो वह पानी बेकार हो गया और वह किसी उ़ज़्व के धोने के काम नहीं आ सकता।

मसअ्ला :– मुँह में इतना खून निकला कि थूक लाल हो गया अगर लोटे या कटोरे को मुँह से लगाकर कुल्ली के लिए पानी लिया तो लोटा कटोरा और सब पानी नापाक हो गया। चुल्लू से पानी लेकर कुल्ली करे और फ़िर हाथ धोकर कुल्ली के लिये पानी ले।

मसअ्ला :– अगर वुज़ू के दरमियान किसी उ़ज़्व के धोने में शक हो जाये और यह ज़िन्दगी का पहला वाक़िआ हो तो उसको धो ले और अगर अक्सर शक पड़ता है तो उसकी त़रफ़ तवज्जोह न करे ऐसे ही अगर वुज़ू के बाद शक हो तो उसका कुछ ख़्याल न करे।

मसअ्ला :– जो आदमी बावुज़ू (वुज़ू से था)अब उसे शक है कि वुज़ू है या टूट गया तो वुज़ू करने की उसे ज़रूरत नहीं,हाँ कर लेना बेहतर है जब कि यह शक वसवसे के तौर पर न हुआ करता हो और अगर वसवसा है तो उसे हर्गिज़ न माने इस सूरत में एहतियात समझकर एहतियात करना एहतियात नहीं बल्कि शैतान की इताअ़त है।

मसअ्ला :– और अगर बेवुज़ू (बग़ैर वुज़ू) था अब उसे शक है कि मैंने वुज़ू किया या नहीं तो वह बिला वुज़ू है उसको वुज़ू करना ज़रूरी है।

मसअ्ला : – यह मालूम है कि वुज़ू के लिए बैठा था और यह याद नहीं कि वुज़ू किया था या नहीं तो उसे वुज़ू करना ज़रूरी है।

मसअ्ला :– यह याद है कि पाख़ाना या पेशाब के लिये बैठा था मगर यह याद नहीं कि किया भी या नहीं तो उस पर वुजू फ़र्ज़ है।

मसअ्ला :– यह याद है कि कोई उज़्व (अंग) धोने से रह गया मगर मालूम नहीं कि कौन उज़्व था तो बायाँ पाँव धो ले।

मसअ्ला :– अगर मियानी में तरी लगी देखी मगर यह नहीं मालूम कि पानी है या पेशाब तो अगर यह उम्र का पहला वाक़िआ है तो वुजू कर ले और अगर बार–बार ऐसे शुबहे पड़ते हैं तो उसकी तरफ़ तवज्जोह न करें कि यह शैतानी वसवसा है।

गुस्ल यानी नहाने का बयान

अल्लाह तआला फ़रमाता है कि :– وَ اِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا

तर्जमा :– "अगर तुम जुनुब हो तो ख़ूब पाक हो जाओ यानी ग़ुस्ल करो और फ़रमाता है कि :–

حَتّٰى يَطْهُرْنَ

तर्जमा :– " यहाँ तक कि वह हैज़ वाली औरतें अच्छी तरह पाक हो जायें। और अल्लाह तआला फ़रमाता है कि :–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَ لَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا

तर्जमा :–"ऐ ईमान वालों नशे की हालत में नमाज़ के क़रीब न जाओ यहाँ तक कि समझने लगो जो कहते हो और न जनाबत की हालत में जब तक ग़ुस्ल न कर लो मगर सफ़र की हालत में कि यहाँ पानी न मिले तो ग़ुस्ल की जगह तयम्मुम है"।

हदीस न.1 :– सहीह बुख़ारी और मुस्लिम में हज़रते आइशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की गई है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब जनाबत का ग़ुस्ल फ़रमाते तो शुरूआत ऐसे करते कि पहले हाथ धोते, फ़िर नमाज़ का सा वुजू करते फिर उंगलियाँ पानी में डाल कर उन से बालों की जड़ें तर फ़रमाते फिर सर पर तीन लप पानी डालते फिर तमाम जिल्द पर पानी बहाते।

हदीस न.2 :– इन्हीं किताबों में इब्ने अब्बास रदियल्ललाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रते मैमूना रदियल्लाहु तआला अन्हा ने फ़रमाया कि नबी सल्लल्लाहु तआला तआला अलैहि वसल्लम के नहाने के लिए मैंने पानी रखा और कपड़े से पर्दा किया हुज़ूर ने हाथों पर पानी डाला और उनको धोया और फिर पानी डालकर हाथों को धोया फिर दाहिने हाथ से बायें पर पानी डाला फिर इस्तिंजा फ़रमाया फिर हाथ ज़मीन पर मार कर मला और धोया फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाला और मुँह और हाथ धोये फिर सर पर पानी डाला और तमाम बदन पर बहाया फिर उस जगह से अलग होकर पाँव मुबारक धोये। उसके बाद मैंने (बदन पोंछने के लिए) एक कपड़ा दिया तो हुज़ूर ने न लिया और हाथों को झाड़ते हुए तशरीफ़ ले गये।

हदीस न.3 :– बुख़ारी और मुस्लिम में उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि अन्सार की एक औरत ने रसुलूल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हैज़ के

बाद नहाने का सवाल किया।हुज़ूर ने उसको गुस्ल का तरीका बताया फ़िर फ़रमाया कि मुश्क लगा हुआ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर उससे तहारत कर। उसने अर्ज़ किया कैसे उससे तहारत करूँ। फ़रमाया सुब्हानल्लाह उससे तहारत कर उम्मुल मोमिनीन फ़रमाती हैं कि मैंने उसे अपनी तरफ़ खींच कर कहा कि उससे ख़ून के असर को साफ़ कर।

हदीस न.4 :– इमाम मुस्लिम ने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की फ़रमाती हैं कि मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं अपने सर की चोटी मज़बूत गूँधती हूँ तो क्या गुस्ले जनाबत के लिए उसे खोल डालूँ। फ़रमाया नहीं तुझको यही किफ़ायत करता है कि सर पर तीन लप पानी डाल ले फिर अपने ऊपर पानी बहा ले पाक हो जायेगी यानी जब कि बालों की जड़ें तर हो जायें और अगर इतनी सख़्त गुंधी हों कि जड़ों तक पानी न पहूँचे तो खोलना फ़र्ज़ है।

हदीस न.5 :– अबू दाऊद, इब्ने माजा और तिर्मिज़ी अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि हर बाल के नीचे जनाबत है तो बाल धोओ और जिल्द को साफ़ करो।

हदीस न.6 :– और अबू दाऊद ने हज़रते अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि रसूलूल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि जो शख़्स गुस्ले जनाबत में एक बाल की जगह बे धोये छोड़ देगा आग से ऐसे–ऐसा किया जायेगा (यानी अज़ाब दिया जायेगा) हज़रते अली फ़रमाते हैं कि इसी वजह से मैंने अपने सर के साथ दुश्मनी कर ली तीन बार यही फ़रमाया यानी सर के बाल मुंडा डाले कि बालों की वजह से कोई जगह सूखी न रह जाये।

हदीस न.7 :– असहाबे सुनने अरबआ ने उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की है कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुस्ल के बाद वुज़ू नहीं फ़रमाते।

हदीस न.8 :– अबू दाऊद ने हज़रते याला रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को मैदान में नहाते देखा फिर मिम्बर पर तशरीफ़ ले जाकर अल्लाह की हम्द और सना के बाद फ़रमाया कि अल्लाह तआला हया फरमाने वाला और पर्दापोश है हया और पर्दा करने को दोस्त रखता है जब तुम में कोई नहाये तो उसे पर्दा करना लाज़िम है।

हदीस न.9 :– बहुत सी किताबों में बहुतेरे सहाबए किराम से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़रमाते हैं कि जो अल्लाह और पिछले दिन (क़ियामत) पर ईमान लाया हम्माम में बग़ैर तहबन्द के न जाये और जो अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाया अपनी बीवी को हम्माम में न भेजे।

हदीस न.10 :– उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा ने हम्माम में जाने के बारे में सरकारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा फ़रमाया औरतों के लिए हम्माम में ख़ैर नहीं। अर्ज़ की तहबन्द बाँध कर जाती हैं,फ़रमाया अगर्चे तहबन्द कुर्ते और ओढ़नी के साथ जायें।

हदीस न.11 :– बुख़ारी और मुस्लिम में रिवायत है कि, उम्मुल, मोमिनीन, उम्मे सुलैम, रदियल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं कि उम्मे सुलैम रदियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह। अल्लाह तआला हक़ बयान करने से हया नहीं फ़रमाता तो क्या जब औरत को इहतिलाम हो तो

उस पर नहाना है? फ़रमाया हाँ जबकि पानी (मनी)देखे। उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने मुँह ढाँक लिया और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह! क्या औरत को इहतिलाम होता है ?फ़रमाया हाँ ऐसा न हो तो किस वजह से बच्चा माँ की तरह होता है।

फ़ाइदा :– उम्महातुल मोमिनीन को अल्लाह तआला ने हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमते आलिया में हाज़िरी से पहले भी इहतिलाम से महफ़ूज़ रखा था इसलिये कि इहतिलाम में शैतान दख़ल देता है और शैतान की मुदाख़िलत से अज़्वाजे मुतह्हरात पाक हैं इसी लिए उनको हज़रते उम्मे सुलैम के इस सवाल पर तअज्जुब हुआ।

हदीस न.12 :– अबू दाऊद और तिर्मिज़ी हज़रते आइशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ कि मर्द तरी पाये और इहतिलाम याद न हो। फ़रमाया ग़ुस्ल करे और उस आदमी के बारे में पूछा गया कि ख़्वाब का यक़ीन है और तरी (असर) नहीं पाता। फ़रमाया उस पर ग़ुस्ल नहीं। उम्मे सुलैम ने अर्ज़ की कि औरत तरी को देखे तो उस पर ग़ुस्ल है? फ़रमाया हाँ औरतें मर्दो की तरह हैं।

हदीस न.13 :– तिर्मिज़ी में उन्हीं से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि मर्द के ख़तने की जगह (हशफ़ा) औरत के मक़ाम में ग़ायब हो जाये तो ग़ुस्ल वाजिब हो जायेगा।

हदीस न.14 :– सहीह बुख़ारी और मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि हज़रते उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा कि उनको रात में नहाने की ज़रूरत हो जाती है। फ़रमाया वुज़ू कर लो और उज़्वे तनासुल (लिंग) को धो लो फिर सो रहो।

हदीस न.15 :– बुख़ारी और मुस्लिम में आइशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि फ़रमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब नहाने की ज़रूरत होती और खाने या सोने का इरादा करते तो नमाज़ की तरह वुज़ू करते।

हदीस न.16 :– मुस्लिम में अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि जब तुम में कोई अपनी बीवी के पास जाकर दोबारा जाना चाहे तो वुज़ू कर ले।

हदीस न.17 :– तिर्मिज़ी इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हैज़ वाली और जुनुबी औरतें क़ुर्आन में से कुछ नपढ़ें।

हदीस न.18 :– अबू दाऊद ने उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि उन घरों का रुख़ मस्जिद से फेर दो कि मैं मस्जिद को हैज़ वाली और जुनुबी (जिनको नहाने की ज़रूरत हो) औरतों के लिये हलाल नहीं करता।

हदीस न.19 :– अबू दाऊद ने हज़रते अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि मलाइका उस घर में नहीं जाते जिस घर में तस्वीर,कुत्ता और जुनुबी हों।

हदीस न.20 :– अम्मार इब्ने यासिर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि फ़रिश्ते तीन शख़्सों से क़रीब नहीं होते 1. काफ़िर का मुर्दा 2. ख़ुलूक़ (यह एक तरह की ख़ुश्बू ज़ाफ़रान से बनाई जाती है) जो मर्दों पर हराम है 3. और जुनुबी मगर यह कि वुज़ू कर ले।

हदीस न.21 :– इमामे मालिक ने रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो ख़त अम्र इब्ने हज़्म को लिखा था कि क़ुर्आन न छुए मगर पाक शख़्स।

हदीस न.22 :– इमाम बुख़ारी और इमामे मुस्लिम ने इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो जुमे को आये चाहिए कि वह ग़ुस्ल कर ले।

ग़ुस्ल के मसाइल

ग़ुस्ल के फ़र्ज़ होने के असबाब बाद में लिखे जायेंगे,पहले ग़ुस्ल की हक़ीक़त बयान की जाती है ग़ुस्ल के तीन जुज़ हैं अगर उनमें से एक में भी कमी हुई ग़ुस्ल न होगा चाहें यूँ कहो कि ग़ुस्ल के तीन फ़र्ज़ हैं।

1. **कुल्ली करना** :– मुँह के हर पुर्ज़े गोशे होंट से हल्क़ की जड़ तक हर जगह पानी बह जाये अक्सर लोग यह जानते हैं कि थोड़ा सा पानी मुँह में लेकर उगल देने को कुल्ली कहते हैं अगर्चे ज़ुबान की जड़ और हल्क़ के किनारे तक न पहुँचे। ऐसे ग़ुस्ल न होगा न इस तरह नहाने के बाद नमाज़ जाइज़ बल्कि फ़र्ज़ है कि दाढ़ों के पीछे गालों की तह में दाँतों की जड़ और खिड़कियों में ज़ुबान की हर करवट में हल्क़ के किनारे तक पानी बहे।

मसअला :– दाँतों की जड़ों या खिड़कियें में कोई ऐसी चीज़ जमी हो जो पानी बहने से रोके तो उसका छुड़ाना ज़रूरी है अगर छुड़ाने में नुक़सान न हो जैसे छालियों के दाने,गोश्त के रेशे और अगर छुड़ाने में नुक़सान और हर्ज हो जैसे बहुत पान खाने से दाँतों की जड़ों में चूना जम जाता है या औरतों के दाँतों में मिस्सी की रेखें कि उनके छीलने में दाँतों या मसूढ़ों के नुक़सान का ख़तरा है तो माफ़ है।

मसअला :– ऐसे ही हिलता हुआ दाँत तार से या उखड़ा हुआ दाँत किसी मसाले वग़ैरा से जमाया गया और पानी तार या मसाले के नीचे न बहे तो मुआफ़ है या खाने या पान के रेज़े दांत में रह गये कि उसकी निगहदाश्त (देख रेख)में हरज है, हाँ मालूम होने के बाद उसको जुदा करना और धोना ज़रूरी है जब कि उनकी वजह से पानी पहुँचने में रुकावट हो।

2. **नाक में पानी डालना** :– यानी दोनों नथनों में जहाँ तक नर्म जगह है धुलना,कि पानी को सूँघ कर ऊपर चढ़ाये बाल बराबर भी धुलने से न रह जाये,नहीं तो ग़ुस्ल नहीं होगा अगर नाक के अन्दर रेंठ सूख गई है तो उसका छुड़ाना फ़र्ज़ है।

मसअला :– बुलाक़ का सूराख़ अगर बन्द न हो तो उसमें पानी पहुँचाना ज़रूरी है फिर अगर तंग है तो बुलाक़ का हिलाना ज़रूरी है वर्ना नहीं।

3. **तमाम बदन पर पानी बहाना** :– यानी सर के बालों से पाँवों के तलवों तक जिस्म के हर पुर्ज़े हर रोंगटे पर पानी बह जाना फ़र्ज़ है। अकसर लोग बल्कि कुछ पढ़े लिखे लोग यह करते हैं और समझते हैं कि ग़ुस्ल हो गया हालाँकि कुछ उज़्व ऐसे हैं कि जब तक उनकी ख़ास तौर पर इहतियात न कीजिए तो नहीं धुलेंगे और ग़ुस्ल न होगा लिहाज़ा तफ़सील से बयान किया जाता है।

हमे बड़ी मुसर्रत हो रही है कि अल्लाह त'आला और उसके हबीब सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम के हुक्म फ़ज़्ल-ओ-करम से और बुज़ुर्गाने दीन सिलसिला-ए-क़ादिरिया बिलख़ुसूस पिराने पीर दस्तगीर हुज़ूर ग़ौस-ए-आज़म शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रादिअल्लाहु त'आला अन्हू के फ़ैज़ से क़िताब बहार-ए-शरीअत (हिस्सा 01 से 10) हिंदी में पीडीएफ [PDF] में आप की खिदमत में पेश की जा रही है।

ज़माना-ए- क़दीम से अवमुन्नास की इस्लाहे हाल और हिदायते उख़रवी व दुनयवी के लिए हक़ सदाक़त के जाम की फ़राहमी की जाती रही हैं और ये इलतेज़ाम ख़ालिक़-ए-क़ायनात जल्ला जलालहु ने ब अहसान अपनी मख़लूक़ के लिए फ़रमाया है। अम्बिया व मुर्सलीन के बेहतरीन दौर के बाद उसने यह ख़िदमत अपने मुक़र्रबीन रिज़वानुल्लाह त'आला अलैहिम अजमईन के सुपुर्द की और यह सिलसिला अला हालही जारी व सारि है।

मज़हब-ए-इस्लाम अल्लाह त'आला का पसंदीदा दीन है। ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नही जिसके लिए इस्लाम ने हमे क़ानून न दिया हो।

आज जिस दौर से हम गुज़र रहे है हमारा मुस्लिम तबका उर्दू की तरफ ध्यान नही दे रहा है और नई नस्ल तो बिल्कुल ही उर्दू से नावाक़िफ़ होती जा रही है। नतीजे के तौर पर दीनी और मज़हबी दिलचस्पियाँ कम हो रही है और हम अपने हाल को ग़ैर मुंज़बित तरीके पे छोड़े रहते है।

लिहाज़ा ये किताब हिंदी में लिखी गई है और आप सब की आसानी के लिए हम ने इस किताब को पीडीएफ फ़ाइल में आप की ख़िदमत में पेश किया है।
आप सब से हमारी गुज़ारिश है कि अपनी मसरूफ ज़िन्दगी में से रोज़ाना वक़्त निकाल कर बुज़ुर्गो की तस्नीफ़ करदा किताबो को मुताला में रखें, इंशा अल्लाह त'आला दीन और दुनिया दोनो में मक़बूल होंगे।

दुआओं के तलबगार

वसीम अहमद रज़ा खान और साथी
+91-8109613336

वुज़ू के उ़ज़्वों में एह़तियात की जो जगहें हैं हर उ़ज़्व के बयान में उनका ज़िक्र कर दिया गया है उनका ग़ुस्ल में भी लिहाज़ ज़रूरी है और उनके अ़लावा ग़ुस्ल की ख़ास बातें नीचे लिखी जाती हैं।

1. सर के बाल गुंधे न हों तो हर बाल पर जड़ से नोंक तक पानी बहना और गुंधे हों तो मर्द पर फ़र्ज़ है कि उनको खोलकर जड़ से नोक तक पानी बहाये और औ़रत पर सिर्फ़ जड़ तर कर लेना ज़रूरी है खोलना ज़रूरी नहीं। हाँ अगर चोटी इतनी सख़्त गुंधी हो कि बे खोले जड़ें तर न होंगी तो खोलना ज़रूरी है।

2. कानों में बाली वग़ैरह ज़ेवर के सुराख़ का वही हुक्म है जो नाक में नथ के सूराख़ का हुक्म वुज़ू में बयान हुआ। 3. भवों और मूछों और दाढ़ी के बाल का जड़ से नोक तक और उनके नीचे की खाल का धुलना ज़रूरी है। 4. कान का हर पुर्ज़ा और उसके सूराख़ का मुँह धोना ज़रूरी है।

5. कानों के पीछे के बाल हटा कर पानी बहायें। 6. ठोड़ी और गले का जोड़ कि बे मुँह उठाये न धुलेगा। 7. बग़लें बे हाथ उठाये न धुलेंगी। 8. बाज़ू का हर पहलू।

9. पीठ का हर ज़र्रा। 10. और पेट की बलटें उठाकर धोये। 11. नाफ़ को उंगली डाल कर धोये जब कि पानी बहने में शक हो। 12. जिस्म का हर रोंगटा जड़ से लेकर नोक तक।

13. रान और पेडू का जोड़। 14. रान और पिंडली का जोड़ जब बैठ कर नहाये ।

15. दोनों चूतड़ के मिलने की जगह ख़ास कर जब खड़े होकर नहाये। 16. रानों की गोलाई।

17. पिंडलियों की करवटें धोये। 18. ज़कर और फ़ोतों के मिलने की जगहें बे जुदा किये न धुलेंगी।

19. फ़ोतों की निचली सतह्‌ जोड़ तक धोये। 20. फ़ोतों के नीचे की जगह जोड़ तक। 21. जिसका ख़तना न हुआ हो तो अगर खाल चढ़ सकती हो तो चढ़ाकर धोये और खाल के अन्दर पानी चढ़ाये। औ़रतों को ख़ास कर यह एह़तियात ज़रूरी है। 22. ढलकी हुई पिस्तान को उठाकर धोना ज़रूरी है। 23. पिस्तान और पेट के जोड़ की धारी पर पानी बहाना। 24. औ़रतें अपने पेशाब के बाहर की हर जगह, हर कोनें,हर टुकड़े,नीचे ऊपर ध्यान से धोयें,अन्दर उंगली डाल कर धोना वाजिब नहीं, मुस्तह़ब है। ऐसे ही औ़रत अगर हैज़ और निफ़ास से फ़ारिग़ होकर ग़ुस्ल करती है तो एक पुराने कपड़े से अन्दर के ख़ून का असर साफ़ कर लेना मुस्तह़ब है।

25. माथे पर अफ़शा लगाई हो तो उसका छुड़ाना ज़रूरी है।

मसअ्‌ला :– बाल में गिरह पड़ जाये तो गिरह खोलकर उस पर पानी बहाना ज़रूरी नहीं।

मसअ्‌ला :– किसी ज़ख़्म पर पट्टी वग़ैरा बँधी हो कि उस के खोलने में हरज हो या किसी जगह मरज़ या दर्द की वजह से पानी बहने से नुक़सान होगा तो उस पूरे उ़ज़्व को मसह़ करे और न हो सके तो पट्टी पर मसह़ काफ़ी है और पट्टी ज़रूरत की जगह से ज़्यादा न रखी जाये नहीं तो मसह़ काफ़ी न होगा और अगर पट्टी ज़रूरत की ही जगह पर बँधी हो जैसे बाज़ू पर एक तरफ़ ज़ख़्म है और पट्टी बाँधने के लिये बाज़ू की उतनी सारी गोलाई पर होना उसका ज़रूरी है तो उसके नीचे बदन का वह ह़िस्सा भी आयेगा जिसे पानी नुक़सान नहीं करता तो अगर खोलना मुमकिन न हो अगर्चे यूँही कि खोलकर फिर वैसे न बाँध सकेगा और उसमें नुक़सान का ख़तरा है तो सारी पट्टी पर मसह़ कर ले काफ़ी है बदन का वह अच्छा ह़िस्सा भी धोने से माफ़ हो जायेगा।

मसअला :– जुकाम या आँखों में सूजन वग़ैरा हो और यह गुमान सही हो कि सर से नहाने में मर्ज़ बढ़ जायेगा या दूसरे मर्ज़ पैदा हो जायेंगे तो कुल्ली करे नाक में पानी डाले और गर्दन से नहा ले और सर के हर ज़र्रे पर भीगा हाथ फेर ले ग़ुस्ल हो जायेगा। सेहत के बाद सर धो डाले बाक़ी ग़ुस्ल के लौटाने की ज़रूरत नहीं।

मसअला :– पकाने वाले के नाख़ून में आटा और लिखने वाले के नाख़ून पर सियाही और आम लोगों के लिये मक्खी,मच्छर की बीट अगर लगी हो तो ग़ुस्ल हो जायेगा। हाँ मालूम होने के बाद उसका हटाना और उस जगह को धोना ज़रूरी है और पहले जो नमाज़ पढ़ी हो गई।

ग़ुस्ल की सुन्नतें

ग़ुस्ल के मसाइल के बाद अब ग़ुस्ल की सुन्नतें लिखी जाती हैं।

1. ग़ुस्ल की नियत करना।
2. पहले दोनों हाथों को गट्टों तक तीन–तीन बार धोना।
3. चाहे नजासत हो या न हो पेशाब,पाखाने की जगह का धोना ।
4. बदन पर जहाँ कहीं नजासत हो उसको दूर करना।
5. फिर नमाज़ की तरह वुजू करना मगर पाँव नहीं धोना चाहिये हाँ अगर चौकी या पत्थर या तख़्ते पर नहाये तो पाँव धो ले। ,
6. फिर पूरे बदन पर तेल की तरह पानी चुपड़ ले ख़ास कर जाड़े के मौसम में।
7. फिर तीन बार दाहिने मोंढे पर पानी बहायें ।
8. फिर बायें मोंढे पर तीन बार।
9. फिर सर और तमाम बदन पर तीन बार पानी बहाये।
10. फिर नहाने की जगह से अलग हट कर अगर पाँव नहीं धोये थे तो धो लें।
11. नहाने में क़िब्ला रुख़ न हो।
12. तमाम बदन पर हाथ फेरे।
13. तमाम बदन को मले।
14. ऐसी जगह नहाये कि उसे कोई न देखे और अगर यह न हो सके तो नाफ़ से घुटने तक का छिपाना ज़रूरी है अगर इतना भी न हो सके तो तयम्मुम करे मगर ऐसा कम होता है।
15. ग़ुस्ल में किसी तरह की बात न करे ।
16. और न कोई दुआ पढ़े। नहाने के बाद तौलिया या रूमाल से बदन पोंछ डालें तो कोई हर्ज़ नहीं।

मसअला :– ग़ुस्लख़ाने की छत न हो या नंगे बदन नहाये बशर्ते कि इहतियात की जगह हो तो कोई हर्ज नहीं हाँ औरतों को बहुत ज़्यादा इहतियात की ज़रूरत है।

17. औरतों को बैठ कर नहाना बेहतर है।
18. नहाने के बाद फ़ौरन कपड़े पहन लें जितनी चीज़ें वुजू में सुन्नत और मुस्तहब हैं उतनी ही नहाने में भी हैं मगर सत्र खुला हो तो क़िब्ले को मुँह करना नहीं चाहिये और तहबन्द बाँधे हो तो हर्ज नहीं।

मसअ्ला :– अगर बहते पानी जैसे दरिया या नहर में नहाया तो थोड़ी देर उसमें रुकने से तीन बार धोने और तरतीब और वुज़ू यह सब सुन्नतें हैं अदा हो गयीं इसकी भी ज़रूरत नहीं कि बदन के उ़ज़्व को तीन बार ह़रकत दे और तालाब वग़ैरा ठहरे पानी में नहाया तो बदन का तीन बार ह़रकत देने या जगह बदलने से तसलीस यानी तीन बार धोने की सुन्नत अदा हो जायेगी। मेंह में खड़ा हो गया तो यह बहते पानी में खडे होने के हुक्म में है। बहते पानी में वुज़ू किया तो वही थोड़ी देर उस में उ़ज़्व को रहने देना और ठहरे पानी में ह़रकत देना तीन बार धोने के क़ाइम मक़ाम है।

मसअ्ला :– सब के लिये गुस्ल या वुज़ू में पानी की एक मिक़दार मुक़र्रर नहीं जिस त़रह़ अ़वाम में मशहूर है यह मह़ज़ बात़िल है। क्योंकि एक लम्बा चौड़ा आदमी दूसरा दुबला पतला,एक के तमाम बदन पर बाल और दूसरे का बदन साफ़ एक की घनी दाढ़ी दूसरा बग़ैर बाल का, एक के सर पर बड़े–बड़े बाल दुसरा मुंडा हुआ और इसी तरह दूसरी चीज़ों में फ़र्क़ है तो सबके लिये पानी की एक मिक़दार कैसे मुमकिन है।

मसअ्ला :– औरत का ह़म्माम में जाना मकरूह है और मर्द जा सकता है मगर पर्दे का लिहाज़ ज़रूरी है। लोगों के सामने सत्र खोलना ह़राम है बग़ैर ज़रूरत सुबह़ तड़के ह़म्माम को न जाये कि इस त़रह़ एक छुपी हुई बात लोगों पर जाहिर करना होगा।

गुस्ल किन चीज़ों से फ़र्ज़ होता है?

1 :– मनी का अपनी जगह से शहवत (सम्भोग की ख़्वाहिश की ह़ालत को शहवत में होना कहते हैं) के साथ जुदा होकर उ़ज़्व से निकलना गुस्ल के फ़र्ज़ होने का सबब है।

मसअ्ला :– अगर मनी शहवत के साथ जुदा न हुई बल्कि बोझ उठाने या ऊँचाई से गिरने की वजह से निकली तो नहाना वाजिब नहीं हाँ वुज़ू जाता रहेगा।

मसअ्ला :– अगर मनी अपनी जगह से शहवत के साथ निकली मगर उस आदमी ने अपने आले (लिंग) को ज़ोर से पकड़ लिया कि बाहर न हो सकी फिर शहवत खत्म होने के बाद उसने छोड़ दिया। अब मनी बाहर हुई तो अगर्चे मनी का बाहर निकलना शहवत से न हुआ मगर चुँकि अपनी जगह से शहवत के साथ निकली है लिहाज़ा गुस्ल वाजिब है इसी पर अ़मल है।

मसअ्ला :– अगर मनी कुछ निकली और पेशाब करने या सोने या चालीस क़दम चलने से पहले नहा लिया और नमाज़ पढ़ ली अब बाक़ी मनी निकली तो नहाना ज़रूरी है क्योंकि यह उसी मनी का हिस्सा है जो अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा हुई थी और पहले जो नमाज़ पढ़ी थी वह हो गई उसके लौटाने की ज़रूरत नहीं और अगर चालीस क़दम चलने या पेशाब करने या सोने के बाद गुस्ल किया फिर मनी बिला शहवत के निकली तो गुस्ल ज़रूरी नहीं और यह पहली का बक़िया नहीं कही जायेगी।

मसअ्ला :– अगर मनी पतली पड़ गई कि पेशाब के वक़्त या वैसे ही कुछ क़तरे बिला शहवत निकल आये तो गुस्ल वाजिब नहीं अलबत्ता वुज़ू टुट जायेगा।

2 :– एह़तिमाल यानी सोते से उठा और बदन या कपड़े पर तरी पाई और इस तरी के मनी या मज़ी होने का यक़ीन या एह़तिमाल(शक)हो तो गुस्ल वाजिब है अगर्चे ख़्वाब याद न हो और अगर यक़ीन है कि यह न मनी है और न मज़ी बल्कि पसीना या पेशाब या वदी या कुछ और है तो अगर्चे

एहतिलाम याद हो और इन्ज़ाल (यानी मनी का निकलना) का मज़ा ध्यान में हो ग़ुस्ल वाजिब नहीं
और अगर मनी न होने पर यक़ीन करता है और मज़ी का शक है तो अगर ख़्वाब में एहतिलाम होना
याद नहीं तो ग़ुस्ल नहीं वरना है।

मसअ्ला :– अगर एहतिलाम याद है मगर उसका कोई असर कपड़े वग़ैरा पर नहीं तो ग़ुस्ल वाजिब
नहीं होगा।

मसअ्ला :– अगर सोने से पहले शहवत थी आला क़ाइम था अब जागा और एहतिलाम का असर
पाया और मज़ी होने का ज़्यादा गुमान है और एहतिलाम याद नहीं तो ग़ुस्ल वाजिब नहीं जब तक
कि उसके मनी होने का ज़्यादा गुमान हो जाये और अगर सोने से पहले शहवत ही न थी या थी
मगर सोने से पहले दब चुकी थी और जो निकला उसे साफ़ कर चुका था तो मनी के यक़ीन की
ज़रूरत नहीं बल्कि मनी के एहतिमाल(शक) से ही ग़ुस्ल वाजिब हो जायेगा। यह मसअ्ला ज़्यादा
वाक़ेअ् होता है और लोग इससे बे ख़बर हैं इसलिये इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।

मसअ्ला :– बीमारी वग़ैरह से बेहोशी आई या नशे में बेहोश हुआ और होश आने के बाद कपड़े या
बदन पर मज़ी मिली तो वुज़ू वाजिब होगा ग़ुस्ल नहीं और सोने के बाद ऐसा देखा तो ग़ुस्ल
वाजिब है मगर उसी शर्त पर कि सोने से पहले शहवत न थी।

मसअ्ला :– किसी को ख़्वाब हुआ और मनी बाहर न निकली थी कि आँख खुल गई और आले को
पकड़ लिया कि मनी बाहर न हुई फिर जब तुन्दी यानी तेज़ी जाती रही छोड़ दिया अब निकली तो
ग़ुस्ल वाजिब हो गया।

मसअ्ला :– नमाज़ में शहवत थी और मनी उतरती मालूम हुई मगर अभी बाहर न निकली थी कि
नमाज़ पूरी होगई अब निकली तो ग़ुस्ल वाजिब होगा मगर नमाज़ होगई।

मसअ्ला :– खड़े या बैठे या चलते हुए सो गया जब आँख खुली तो मज़ी पाई ऐसी सूरत में ग़ुस्ल
वाजिब है।

मसअ्ला :– रात को एहतिलाम हुआ जागा तो कोई असर न पाया वुज़ू कर के नमाज़ पढ़ ली अब
उसके बाद मनी निकली तो ग़ुस्ल अब वाजिब हुआ लेकिन नमाज़ हो गई।

मसअ्ला :– औरत को ख़्वाब हुआ तो जब तक मनी फ़र्जे दाख़िल (औरत के पेशाब की जगह)
से न निकली ग़ुस्ल वाजिब नहीं।

मसअ्ला :– मर्द और औरत एक चारपाई पर सोये और उठने के बाद बिस्तर पर मनी पाई गई और
उनमें से हर एक एहतिलाम का इन्कार करता है तो एहतियात यह होना है कि दोनों ग़ुस्ल कर लें
और यही सही है।

मसअ्ला :– अगर लड़का एहतिलाम के साथ बालिग़ हुआ तो उस पर ग़ुस्ल वाजिब है।

3 :– हश्फ़ा यानी ज़कर का सर औरत के आगे या पीछे या मर्द के पीछे दाख़िल होना तो दोनों पर
ग़ुस्ल वाजिब करता है चाहे शहवत के साथ हो या बग़ैर शहवत। इन्ज़ाल हो या न हो (यानी मनी
निकली हो या न निकली हो) शर्त यह है कि दोनों मुकल्लफ़ यानी आक़िल, बालिग़ हों और अगर
एक बालिग़ हो तो उस बालिग़ पर फ़र्ज़ है और नाबालिग़ पर फ़र्ज़ नहीं फिर भी ग़ुस्ल का हुक्म
दिया जायेगा मसलन मर्द बालिग़ है लड़की नाबालिग़ तो मर्द पर फ़र्ज़ है और नाबालिग़ा लड़की को

भी नहाने का हुक्म है और लड़का नाबालिग़ है और औरत बालिग़ा है तो औरत पर फ़र्ज़ है और लड़के को भी नहाने का हुक्म दिया जायेगा।

मसअ्ला :– अगर हश्फ़ा काट डाला हो तो बाक़ी उ़ज़्व तनासुल में का अगर हश्फ़े की बराबर दाख़िल हो गया जब भी वही हुक्म है जो हश्फ़ा दाख़िल होने का है।

मसअला :– अगर चौपाया या मुर्दा या ऐसी छोटी लड़की से कि जिसकी मिस्ल से सोहबत न की जा सकती हो वती की तो जब तक इन्ज़ाल न हो ग़ुस्ल वाजिब नहीं।

मसअ्ला :– औरत की रान में जिमाअ् किया और इन्ज़ाल के बाद मनी फ़र्ज में गई या कुँवारी से जिमाअ् किया और इन्ज़ाल भी हो गया मगर बुकारत का पर्दा ज़ाइल नहीं हुआ तो औरत पर नहाना वाजिब नहीं। हाँ अगर औरत के ह़मल रह जाये तो अब ग़ुस्ल वाजिब होने का हुक्म है और मुजामअ़त के वक़्त से जब तक ग़ुस्ल नहीं किया है उस पर तमाम नमाज़ों का दोहराना ज़रूरी है।

मसअ्ला :– औरत ने अपनी फ़र्ज में उंगली या जानवर या मुर्दे का ज़कर या और कोई चीज़ रबड़ या मिट्टी वग़ैरा की कोई चीज़ ज़कर की त़रह़ बनाकर डाली तो जब तक मनी न निकले ग़ुस्ल वाजिब नहीं। अगर जिन्न आदमी की शक्ल बनकर आया और औरत से जिमाअ् किया तो ह़श्फ़े के ग़ायब होने ही से ग़ुस्ल वाजिब होगया। आदमी की शक्ल पर नहो तो जब तक औरत को इन्ज़ाल न हो ग़ुस्ल वाजिब नहीं यूँही अगर मर्द ने परी से जिमाअ् किया और वह उस वक़्त इन्सानी शक्ल में नहीं तो बग़ैर इन्ज़ाल ग़ुस्ल वाजिब नहीं होगा और अगर इन्सानी शक्ल में है तो सिर्फ़ ह़श्फ़ा ग़ायब होने से ग़ुस्ल वाजिब हो जायेगा।

मसअ्ला :– जिमाअ् के ग़ुस्ल के बाद औरत के बदन से मर्द की बाक़ी मनी निकली तो उससे ग़ुस्ल वाजिब नहीं होगा अलबत्ता वुज़ू जाता रहेगा।

फ़ायदा :– इन तीनों वजहों से जिस पर नहाना फ़र्ज़ हो उसको जुनुब और उन असबाब (वजहों) को जनाबत कहते हैं।

4 :– हैज़ से फ़ारिग़ होना **5** :– निफ़ास का ख़त्म होना।

मसअ्ला :– बच्चा पैदा हुआ और ख़ून बिल्कुल न आया तो स़ही यह है कि ग़ुस्ल वाजिब है हैज़ और निफ़ास की तफ़सील हैज़ के बयान में आयेगी इन्शाअल्लाह।

मसअ्ला :– काफ़िर मर्द और औरत पर नहाना ज़रूरी था इसी ह़ालत में दोनों मुसलमान हुए तो सही यह है कि उन पर ग़ुस्ल वाजिब है हाँ अगर इस्लाम लाने से पहले ग़ुस्ल कर चुके हों या किसी त़रह़ तमाम बदन पर पानी बह गया हो तो सिर्फ़ नाक में बांसे तक पानी चढ़ाना काफ़ी है क्यूँकि यही वह चीज़ है जो काफ़िरों से अदा नहीं होती,पानी के बड़े–बड़े घूँट पीने से कुल्ली का फ़र्ज़ अदा हो जाता है और अगर यह भी बाक़ी रह गया हो तो उसे भी करे। ग़र्ज़ जितने आज़ा का ग़ुस्ल में धुलना फ़र्ज़ है,जिमाअ् वग़ैरा असबाब के बाद अगर वह सब कुफ़्र की ह़ालत में ही धुल चुके थे तो इस्लाम के बाद दोबारा ग़ुस्ल करना ज़रूरी नहीं वर्ना जितना हिस्सा बाक़ी हो उतने को धोलेना फ़र्ज़ है और मुस्तह़ब तो यह है कि इस्लाम के बाद पूरा ग़ुस्ल करे।

मसअ्ला :– मुसलमान मय्यत का नहलाना मुसलमानों पर फ़र्ज़े किफ़ाया है अगर एक ने नहला दिया तो सब के सर से उतर गया और अगर किसी ने नहीं नहलाया तो सब गुनाहगार होंगे।

मसअ्ला :– पानी में मुसलमान का मुर्दा मिला उसका भी नहलाना फ़र्ज़ है फिर अगर निकालने वाले ने गुस्ल के इरादे से मुर्दे को निकालते वक़्त गोता दिया तो गुस्ल हो गया नहीं तो अब नहलायें।

मसअ्ला :– पाँच वक़्तों में नहाना सुन्नत है :–1 .जुमा 2. ईद 3 .बक़रईद 4. अ़रफ़े के दिन 5. **एहराम बाँधते वक़्त। इन सब के लिए नहाना मुस्तहब है** 1.मैदाने अ़रफ़ात में ठहरने के वक़्त 2.मुज़दलफ़ा में ठहरने के वक़्त 3.ह़रम शरीफ़ में हाज़िरी के लिए 4.हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के रौज़े पर हाज़िरी के लिए 5.त़वाफ़ के वक़्त 6. मिना में दाख़िल होने के लिए 7.जमरों पर कंकरियाँ मारने के लिये (तीनों दिन) 8. शबेबरात में 9. शबे क़द्र में 10. अ़रफ़े की रात में 11. मीलाद शरीफ़ की मजलिस के लिये। 12.दूसरी नेक मजलिसों में हाज़िर होने के लिये 13. मुर्दा नहलाने के बाद 14.पागल के पागलपन जाने के बाद 15. बेहोशी से फ़ायदे के बाद 16.नशा जाते रहने के बाद 17. गुनाह से तौबा करने लिए ;18. नया कपड़ा पहनने के लिए 19.सफ़र से आने वाले के लिए 20. इस्तेहाज़ा का ख़ून बन्द होने के बाद 21. नमाज़े कुसूफ़ 22. नमाज़े ख़ुसूफ़ 23. नमाज़े इस्तिस्का 24. नमाज़े ख़ौफ़ 25. अंधेरी 26. सख़्त आँधी के लिए 27. और अगर बदन पर नजासत लगी और यह पता न चल सका कि नजासत किस जगह है तो इन तमाम सूरतों में गुस्ल मुस्तहब है।

मसअ्ला :– हज करने वाले पर दसवीं ज़िलहिज्जा को पाँच गुस्ल हैं। 1.मुज़दलफ़ा में ठहरने 2.मिना में दाख़िल होने 3.जमरे पर कंकरियाँ मारने 4.मक्के में दाख़िल होने 5.और कअ्बा शरीफ़ के त़वाफ़ करने के लिए गुस्ल है जबकि न. 3,4, और 5. यह तीन पिछले काम भी दसवीं ही को करें और जुमे का दिन है तो जुमे का गुस्ल करें ऐसे ही अगर अ़रफ़ा या ईद जुमे के दिन पड़े तो यहाँ वालों पर दो गुस्ल होंगे।

मसअ्ला :– जिस पर चन्द गुस्ल हों सब की नियत से एक गुस्ल कर लिया तो सब अदा हो जायेंगे और सबका सवाब मिलेगा।

मसअ्ला :– अगर औ़रत पर नहाना ज़रूरी हो और उसने अभी गुस्ल नहीं किया है और इसी बीच उसे हैज़ शुरू हो गया तो चाहे अब नहा ले या हैज़ ख़त्म होने के बाद नहाये उसे इख़्तियार है।

मसअ्ला :– अगर किसी पर गुस्ल वाजिब हो और वह जुमा या ईद के दिन नहाया और जुमा और ईद वग़ैरा की नियत कर ली तो सब अदा हो गये और उसी गुस्ल से जुमे और ईद की नमाज़ पढ़ सकता है।

मसअ्ला :– औ़रत को नहाने या वुज़ू के लिये पानी मोल लेना पड़े तो उसकी क़ीमत शौहर के ज़िम्मे है जबकि औ़रत पर गुस्ल और वुज़ू वाजिब हो या बदन से मैल दूर करने के लिए नहाये।

मसअ्ला :– जिस पर गुस्ल वाजिब है उसे चाहिए कि नहाने में देर न करे ह़दीस शरीफ़ में है कि जिस घर में जुनुबी हो उसमें रह़मत के फ़रिश्ते नहीं आते और अगर इतनी देर कर चुका कि नमाज़ का आख़िरी वक़्त आ गया तो अब फ़ौरन नहाना फ़र्ज़ है क्यूँकि अगर देर करेगा तो गुनाहगार होगा।

और अगर खाना खाना चाहता है या औ़रत से जिमाअ् करना चाहता है तो वुज़ू कर ले या हाथ मुँह धो ले या कुल्ली कर ले और अगर वैसे ही खा पी लिया तो गुनाह नहीं मगर मकरूह है और मुह़ताजी लाता है और बे नहाये या बे वुज़ू किये जिमा कर लिया तो भी गुनाह नहीं मगर

जिस को एहतिलाम हुआ हो बे नहाये उसे औरत के पास न जाना चाहिए।

मसअला :– रमज़ान में अगर रात को जुनुब हुआ तो अच्छा यही है कि फ़ज्र तुलू होने से पहले नहा ले ताकि रोज़े का हर हिस्सा जनाबत से ख़ाली हो और अगर नहीं नहाया तो भी रोज़ा तो हो ही जायेगा मगर अच्छा यह है कि ग़रारा कर ले और नाक में जड़ तक पानी चढ़ा ले। यह दोनों काम फ़ज्र से पहले कर ले कि रोज़े में न हो सकेंगे और अगर नहाने में इतनी देर की कि दिन निकल आया और नमाज़ क़ज़ा कर दी तो यह और दिनों में भी गुनाह है और रमज़ान में तो और ज़्यादा।

मसअला :– जिसको नहाने की ज़रूरत हो उसको मस्जिद में जाना, तवाफ़ करना, क़ुर्आन शरीफ़ छूना,अगर्चे उसका सादा हाशिया या जिल्द या चोली छुए या बे छुये देख कर,या ज़ुबानी पढ़ना ,या किसी आयत का लिखना या आयत का तावीज़ लिखना या ऐसा तावीज़ छूना या ऐसी अँगूठी पहनना जिस में हुरूफ़े मुक़त्तआत हों, हराम है।

मसअला :– अगर क़ुर्आन शरीफ़ जुज़दान में हो तो जुज़दान पर हाथ लगाने में हरज नहीं ऐसे ही रुमाल वग़ैरा किसी ऐसे कपड़े से पकड़ना जो न अपना ताबे हो न क़ुर्आन मजीद का तो जाइज़ है कि कुर्ते की आस्तीन,दुपट्टे के आँचल से यहाँ तक कि चादर का एक कोना उसके मोंढे पर है तो दूसरे कोने से छूना हराम है क्योंकि यह सब उसके ताबे हैं और जैसे चोली क़ुर्आन शरीफ़ के ताबेअ़ है तो उसका छूना भी हराम है।

मसअला :– आगर क़ुर्आन की आयत दुआ की नियत से या तबर्रुक के लिए पढ़े जैसे بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

तर्जमा :– "अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला"या अल्लाह तआ़ला का शुक्र अदा करने या छींक आने के बाद اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ पढ़े।

तर्जमा :– "सब ख़ूबियाँ अल्लाह को जो मालिक सारे जहान वालों का" या परेशानी की ख़बर पर यह आयत पढ़े।

اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ

तर्जमा :– हम अल्लाह के लिए हैं और हमको उसी की तरफ़ फिरना है। या अल्लाह की तारीफ़ की नियत से पूरी सुरए फ़ातिहा या आयतुल कुर्सी या सुरए हश्र की पिछली तीन आयतें هُوَاللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ पढ़ीं।

और इन सब सूरतों में क़ुर्आन शरीफ़ पढ़ने की नियत न हो तो कुछ हर्ज नहीं। ऐसे ही तीनों कुल बग़ैर कुल के लफ़्ज़ बनियत सना पढ़ सकता है और लफ़्ज़े कुल के साथ नहीं पढ़ सकता अगर्चे सना ही की नियत से हो क्यूँकि इस सूरत में उनका क़ुर्आन होना तय है इसमें नियत को कुछ दख़ल नहीं।

मसअला :– बे वुज़ू को क़ुर्आन मजीद या उसकी किसी आयत का छूना हराम है बिना छुये ज़ुबानी देख कर पढ़े तो कोई हर्ज नहीं।

मसअला :– रुपये पर आयत लिखी हो तो उन सबको यानी बे वुज़ू वालों जिन पर नहाना ज़रूरी है और हैज़ और निफ़ास वालियों को उसका छूना हराम है। हाँ अगर थैली में हो तो थैली उठाना

जायज़ है। ऐसे ही जिस बर्तन या गिलास पर सूरत या आयत लिखी हो उसका छूना भी उनको हराम है और उसका इस्तेअ्माल सब को मकरूह मगर जबकि ख़ास शिफ़ा की नियत हो।

मसअ्ला :– क़ुर्आन शरीफ़ देखने में उन सब पर कुछ हर्ज नहीं अगरचे हुरूफ़ पर नज़र पड़े और अल्फ़ाज़ समझ में आयें और ख़्याल में पढ़े जायें।

मसअ्ला :– और उन सब को फ़िक़्ह, तफ़सीर और हदीस की किताबों का छूना मकरूह है और अगर उनको किसी कपड़े से छूना चाहे अगरचे उसको पहने या ओढ़े हुए हो तो कोई हर्ज नहीं मगर उन किताबों में आयत की जगह हाथ रखना हराम है।

मसअ्ला :– इन सब को तोरात, ज़बूर इन्जील को पढ़ना छूना मकरूह है।

मसअ्ला :– दुरूद शरीफ़ और दुआओं के पढ़ने में उन्हें कुछ हर्ज नहीं मगर अच्छा यह है कि वुज़ू या कुल्ली कर के पढ़ें।

मसअ्ला :– उन सब को अज़ान का जवाब देना जाइज़ है।

मसअ्ला :– मुसहफ़ शरीफ़ (क़ुर्आन) अगर ऐसा हो जाये कि पढ़ने के काम में न आये तो उसे कफ़ना कर लहद खोद कर, ऐसी जगह दफ़न करें जहाँ पैर पड़ने का ख़तरा न हो।

मसअ्ला :– काफ़िर को मुसहफ़ न छूने दिया जाये और हुरूफ़ों को उससे बचाया जाये।

मसअ्ला :– क़ुर्आन सब किताबों से ऊपर रखें फ़िर तफ़सीर फ़िर हदीस फ़िर बाक़ी दीनियात मरतबे के एअ्तिबार से।

मसअ्ला :– किताब पर कोई दूसरी चीज़ न रखी जाये यहाँ तक कि क़लम दवात और यहाँ तक कि सन्दूक़ जिस में किताब हो उस पर भी कोई चीज़ न रखी जाये।

मसअ्ला :– मसाइल या दीनियात की किताबों के वरक़ों में पुड़िया बाँधना। जिस दस्तरख़्वान पर कुछ लिखा हुआ हो उसको काम में लाना या बिछौने पर कुछ लिखा हो तो उसको काम में लाना मना है।

पानी का बयान

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है :–

وَ اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا

तर्जमा :– "आसमान से हमने पाक करने वाला पानी उतारा"।

और फ़रमाता है :– وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ

तर्जमा :– "आसमान से तुम पर पानी उतारता है कि तुम्हें उससे पाक करे और शैतान की पलीदगी तुम से दूर करे"।

हदीस न.1 :– इमामे मुस्लिम ने हज़रते अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्ला सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम में से कोई शख़्स जनाबत की हालत में रुके हुए पानी में म नहाये (यानी थोड़े पानी में जो दह–दरदा न हो इसलिए कि दह–दर–दह बहते पानी के हुक्म में है)लोगों ने कहा तो ऐ अबू हुरैरह! कैसे करे कहा उसमें से लेले

हदीस न.2 :– सुनने अबू दाऊद व तिर्मिज़ी और इब्ने माजा में हकम इब्ने अ़म्र रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने इस बात से मना फ़रमाया कि

औरत की तहारत से बचे हुए पानी से मर्द वुज़ू करे।

हदीस न.3 :– इमामे मालिक व अबू दाऊद और तिर्मिज़ी अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत करते हैं कि एक शख़्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से पूछा कि हम दरिया का सफ़र करते हैं और अपने साथ थोड़ा सा पानी ले जाते हैं तो अगर उससे वुज़ू करें तो प्यासे रह जायेंगे तो क्या समुद्र के पानी से हम वुज़ू करें फ़रमाया उस का पानी पाक है और उस का मरा हुआ जानवर हलाल है यानी मछली।

हदीस न.4 :– अमीरुल मोमिनीन हज़रते फ़ारूक़े आज़म रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने फ़रमाया कि धूप के गर्म पानी से ग़ुस्ल मत करो कि वह बर्स पैदा करता है।

किस पानी से वुज़ू जाइज़ है और किस से नहीं

तम्बीह :– जिस पानी से वुज़ू जाइज़ है उससे ग़ुस्ल भी जाइज़ और जिससे वुज़ू नाजाइज़ है उस से ग़ुस्ल भी नाजाइज़ है।

मसअला :– मेंह,नदी, नाले,चश्में,समुन्दर,दरिया, कुँयें, बर्फ़ और ओले के पानी से वुज़ू जाइज़ है।

मसअला :– जिस पानी में कोई चीज़ मिल गई कि बोल चाल में उसे पानी न कहें बल्कि उसका कोई और नाम हो गया जैसे शर्बत या पानी में कोई ऐसी चीज़ डालकर पकायें जिस से मक़सूद मैल काटना न हो जैसे शोरबा, चाय,गुलाब या और अ़र्क़ उससे वुज़ू और ग़ुस्ल जाइज़ नहीं।

मसअला :– आगर ऐसी चीज़ मिलायें या मिलाकर पकायें जिस से मक़सद मैल काटना हो जैसे साबुन या बेरी के पत्ते तो वुज़ू जाइज़ है। ज़ब तक पानी का पतलापन बाक़ी रहे और अगर पानी सत्तू की तरह गाढ़ा हो गया तो वुज़ू जाइज़ नहीं।

मसअला :– और अगर पानी में कोई पाक चीज़ मिली जिससे रंग या बू या मज़े में फ़र्क़ आ गया मगर उसका पतलापन न गया जैसे रेता,चूना या थोड़ी ज़ाफ़रान तो वुज़ू जाइज़ है और जो ज़ाफ़रान का रंग इतना आ जाये कि कपड़ा रंगने के क़ाबिल हो जाये तो वुज़ू जाइज़ नहीं यूँही पुड़िया के रंग का हुक्म है और अगर इतना दूध मिलगया कि दूध का रंग ग़ालिब न हुआ तो वुज़ू जाइज़ है, वरना नहीं। ग़ालिब मग़लूब की पहचान यह है कि जब तक यह कहें कि पानी है जिस में कुछ दूध मिल गया तो वुज़ू जाइज़ है और जब उसे लस्सी कहें तो वुज़ू नाजाइज़ और अगर पत्ते गिरने या पुराने होने की वजह से रंग बदले तो कुछ हर्ज नहीं लेकिन अगर पत्तों से पानी गाढ़ा हो गया तो उस पानी से वुज़ू जाइज़ नहीं।

मसअला :– बहता पानी कि उसमें तिनका डाल दें तो बहा ले जाये वह पानी पाक और पाक करने वाला है। नजासत पड़ने से नापाक न होगा जब तक कि उस नजासत से पानी का रंग, बू और मज़ा न बदले और अगर नजिस चीज़ से रंग या, बू और मज़ा बदल जाये तो पानी नापाक हो जायेगा। अब यह उस वक़्त पाक होगा कि नजासत नीचे बैठ कर उसके औसाफ़ ठीक हो जायें या पाक पानी इतना मिले कि नजासत को बहा ले जाये या पानी के रंग,बू और मज़ा ठीक हो जाये और अगर पाक चीज़ ने रंग,मज़ा और बू को बदल दिया तो उससे वुज़ू करना और नहाना जाइज़ है जब तक दूसरी चीज़ न हो जाये।

मसअला :– मुर्दा जानवर नहर की चौड़ाई में पड़ा हो और उसके ऊपर से पानी बहता है और जो पानी उससे मिल कर बहता है उस से कम है,जो उसके ऊपर से बहता है या ज्यादा है या बराबर हर जगह से वुज़ू जाइज़ है यहाँ तक कि किसी वस्फ़ में तब्दीली न आये।

मसअला :– छत के परनाले से बारिश का पानी गिरे वह पाक है अगर्चे उस पर जगह–जगह नजासत पड़ी हो अगर्चे नजासत परनाले के मुँह पर हो, अगर्चे जो पानी नजासत से मिलकर गिरता हो वह आधे से कम या बराबर या ज्यादा हो जब तक नजासत से पानी के किसी हालत में तब्दीली न आये। यही सही है और इसी पर एअ्तिमाद है और अगर मेंह रुक गया और पानी का बहना ख़त्म हो गया तो अब वह ठहरा हुआ पानी और जो छत से टपके नजिस है।

मसअला :– ऐसे ही नालियों से बरसात का बहता पानी पाक है जब तक नजासत का रंग, बू या मज़ा उसमें जाहिर न हो रहा उससे वुज़ू करना अगर उस पानी में दिखाई पडने वाले नजासत के ज़र्रे ऐसे बहते जा रहे हों कि जो चुल्लू लिया जायेगा उसमें एक आध ज़र्रा नजासत का भी ज़रूर होगा जब तो हाथ में लेते ही नापाक हो गया। उससे वुज़ू हराम है वरना जाइज है और बचना बेहतर है।

मसअला :– नाली का पानी कि बारिश के बाद ठहर गया अगर उसमें नजासत के टुकडे मालूम हो या रंग और बू का पता चले तो नापाक वर्ना पाक है।

मसअला :– दस हाथ लम्बा दस हाथ चौड़ा जो हौज़ हो उसे दह–दर–दह कहते हैं। ऐसे ही बीस हाथ लम्बा पाँच हाथ चौड़ा या पच्चीस हाथ लम्बा चार हाथ चौड़ा। ग़र्ज कुल लम्बाई चौडाई सौ हाथ हो तो वह दह–दर–दह है य़ानी उसका क्षेत्रफल सौ हाथ हो। अगर हौज़ गोल हो तो उसकी गोलाई लगभग साढ़े पैतींस हाथ हो। सौ हाथ लम्बाई न हो तो छोटा हौज़ है उसके पानी को थोड़ा कहेंगे अगर्चे कितना ही गहरा हो।

तम्बीह :– हौज़ के बड़े छोटे होने में खुद उस हौज़ की नाप का एअ्तिबार नहीं बल्कि जो उसमें पानी है उसकी ऊपरी सतह देखी जायेगी अगर हौज बड़ा है मगर अब पानी कम होकर दह–दर–दह न रहा तो वह इस हालत में बड़ा हौज़ नहीं कहा जायेगा और हौज़ उसी को न कहेंगे जो मस्जिदो और ईदगाहों में बना लिये जाते हैं बल्कि हर वह गड्ढा जिसकी पैमाइश सौ हाथ हो वह बडा हौज है और उससे कम है तो छोटा।

मसअला :– दह–दर–दह हौज़ में सिर्फ़ इतना दल य़ानी गहराई काफी है कि उतनी पैमाइश में जमीन कहीं से खुली न हो और यह जो बहुत किताबों में फ़रमाया है कि लप या चुल्लू में पानी लेने से ज़मीन न खुले उसकी हाजत उसके ज़्यादा रहने के लिये है कि इस्तेमाल के वक़्त अगर पानी उठाने से ज़मीन खुल गई तो उस वक़्त पानी सौ हाथ की पैमाइश में न रहा। ऐसे हौज का पानी बहते पानी के हुक्म में है नजासत पड़ने से नापाक न होगा जब तक नजासत से रंग, या बू या मज़ा न बदले और ऐसा हौज़ अगर्चे नजासत पड़ने से नापाक न होगा मगर जान बूझ कर उसमें नजासत डालना मना है।

मसअला :– बड़े हौज़ के नजिस न होने की यह शर्त है कि उसका पानी मुत्तसिल (मिला हुआ) हो तो ऐसे हौज़ में अगर लट्ठा या कड़ियाँ गाड़ी गई हों तो उन लट्ठों कड़ियों के अलावा बाकी जगह

अगर सौ हाथ है तो बड़ा है वर्ना नहीं यानी लट्ठा या कड़िये वग़ैरह ने जगह घेरी और वह जगह 100 हाथ में से कम हो जायेगी तो वह बड़ा हौज़ नहीं रहा अल्बत्ता पतली–पतली चीजें जैसे घास, निरकुल खेती हो तो उसके मुत्तसिल(मिले)होने में फ़र्क़ न आयेगा।

मसअ्ला :– बड़े हौज़ में ऐसी नजासत पड़ी कि दि,खाई न दे जैसे शराब या पेशाब तो उस हौज़ के हर तरफ़ से वुज़ू जाइज़ है और अगर देखने में आती हो जैसे पाख़ाना या मरा हुआ जानवर तो जिस तरफ़ वह नजासत हो उस तरफ़ वुज़ू न करना बेहतर है दूसरी तरफ़ वुज़ू करे।

तम्बीह :– जो नजासत दिखाई दे उसे "मरइय्या"और जो नहीं दिखायी दे उसे ग़ैर मरइय्या" कहते हैं।

मसअ्ला :– ऐसे हौज़ पर अगर बहुत से लोग जमा होकर वुज़ू करें तो भी कुछ हर्ज नहीं अगर्चे वुज़ू का पानी उसमें गिरता हो। हाँ उसमें कुल्ली डालना और नाक सिनकना नहीं चाहिए कि पाकीज़गी के ख़िलाफ़ है।

मसअ्ला :– तालाब या बड़ा हौज़ ऊपर से जम गया मगर बर्फ़ के नीचे पानी की लम्बाई चौड़ाई मुत्तसिल दह–दर–दह के मिक़दार है और सूराख़ करके उससे वुज़ू किया तो जाइज़ है अगरचे उसमें नजासत पड़ जाये और अगर मुत्तसिल दह–दर–दह नहीं और उसमें नजासत पड़ी तो नापाक है फ़िर अगर नजासत पड़ने से पहले उसमें सूराख़ कर दिया और उससे पानी उबल पड़ा तो अगर दह–दर–दह के मिक़दार फ़ैल गया तो अब नजासत पड़ने से भी पाक रहेगा और उसमें दल का वही हुक्म है जो ऊपर गुज़र चुका।

मसअ्ला :– अगर ख़ुश्क तालाब में नजासत पड़ी हो और मेंह बरसा और उसमें बहता हुआ पाक पानी इस क़द्र आया कि बहाव रुकने से पहले दह–दर–दह हो गया तो वह पानी पाक है और अगर उस मेंह से दह–दर–दह से कम रहा और दोबारा बारिश से दह–दर–दह हुआ तो सब नजिस है। हाँ अगर वह भर कर बह जाये तो पाक हो गया अगर्चे हाथ दो हाथ बहा हो।

मसअ्ला :– दह–दर–दह पानी में निजासत पड़ी फिर उस का पानी दह–दर–दह से कम हो गया तो वह अब भी पाक है। हाँ अगर वह निजासत अब भी उस में बाक़ी हो और दिखाई देती हो तो अब नापाक हो गया अब जब तक भरकर बह न जाये पाक न होगा।

मसअ्ला :– छोटा हौज़ नापाक हो गया फिर उसका पानी फ़ैलकर दह–दर–दह हो गया तो अब भी नापाक है मगर पाक पानी अगर उसे बहा दे पाक हो जायेगा।

मसअ्ला :– कोई हौज़ ऐसा है कि ऊपर से तंग और नीचे से कुशादा है यानी ऊपर दह–दर–दह नहीं और नीचे दह–दर–दह या ज़्यादा है अगर ऐसा हौज भरा हुआ हो और नजासत पड़े तो नापाक है। उसका पानी घट गया और वह दह–दर–दह हो गया तो पाक है।

मसअ्ला :– हुक़्क़े का पानी पाक है अगर्चे उसके रंग, बू और मज़े में तब्दीली आजाये उस से वुज़ू जाइज़ है। किफ़ायत की मिक़दार उस के होते हुए तयम्मुम जाइज़ नहीं जैसे सारा वुज़ू कर लिया और एक पाँव धोना बाक़ी है कि पानी ख़त्म होगया और हुक़्क़े में पानी इतना मौजूद है कि उस पाँव को धोसकता है तो उसे तयम्मुम जाइज़ नहीं मगर वुज़ू करने के बाद अगर उ़ज़्व में बू आगई तो जब तक बू जाती न रहे मस्जिद में जाना मना है और वक़्त में गुन्जाइश हो तो इतना रूक कर नमाज़ पढ़े कि वह उड़ जाये उस से वुज़ू करने का हुक्म उस वक़्त दिया गया कि दूसरा पानी न

हो बिला ज़रूरत उस से वुज़ू करना न चाहिए।

मसअ्ला :– जो पानी वुज़ू या गुस्ल करने में बदन से गिरा वह पाक है मगर उस से वुज़ू या गुस्ल जाइज़ नहीं ऐसे ही अगर बे वुज़ू शख़्स का हाथ या उंगली या पोरा या नाख़ून या बदन का कोई टुकड़ा जो वुज़ू में धोया जाता हो इरादे या बग़ैर इरादा दह–दर–दह से कम पानी में बे धोये हुए पड़ जाये तो वह पानी वुज़ू और गुस्ल के लाइक़ न रहा इसी तरह जिस पर नहाना फ़र्ज़ है उसके जिस्म का कोई बे धुला हुआ हिस्सा पानी से छू जाये तो वह पानी वुज़ू और गुस्ल के काम का न रहा अगर धुला हुआ हाथ या बदन का कोई हिस्सा पड़ जाये तो हर्ज नहीं।

मसअ्ला :– अगर हाथ धुला हुआ है मगर फिर धोने की नियत से डाला और यह धोना सवाब का काम हो जैसे खाने के लिए या वुज़ू के लिए तो यह पानी मुस्तअ्मल(इस्तेमाल किया हुआ) होगया यानी वुज़ू के काम का न रहा और उस पानी को पीना भी मकरूह है।

मसअ्ला :– अगर ज़रूरत से हाथ पानी में डाला जैसे पानी बड़े बर्तन में है कि उसे झुका नहीं सकता न कोई छोटा बर्तन है कि उस से निकाले तो ऐसी सूरत में ज़रूरत भर हाथ पानी में डाल कर उस से पानी निकाले या कुँए में रस्सी डोल गिर गया और बे घुसे नहीं निकल सकता और पानी भी नहीं कि हाथ पाँव धोकर घुसे तो इस सूरत में अगर पाँव डालकर रस्सी निकालेगा तो पानी मुस्तमल न होगा इस मसअ्ला को बहुत कम लोग जानते हैं लोगों को जानना चाहिए।

मसअ्ला :– इस्तेअ्माल किया हुआ पानी अगर बिना इस्तेअ्माल किये हुए पानी में मिल जाये जैसे वुज़ू या गुस्ल करते वक़्त पानी के क़तरे लोटे या घड़े में टपकें तो अगर अच्छा पानी ज़्यादा है तो यह वुज़ू और गुस्ल के काम का है वर्ना सब बे कार हो गया।

मसअ्ला :– पानी में हाथ पड़ गया या और किसी तरह मुस्तअ्मल होगया और यह चाहें कि यह काम का होजाये तो अच्छा पानी उस से ज़्यादा उस में मिला दें और उसका यह तरीक़ा भी है कि एक तरफ़ से पानी डालें कि दूसरी तरफ़ बह जाये तो सब काम का हो जायेगा ऐसे ही नपाक पानी को भी पाक कर सकते हैं ऐसी ही हर बहती हुई चीज़ अपनी जिन्स या पानी से उबाल देने से पाक हो जायेगी।

मसअ्ला :– किसी पेड़ या फ़ल के निचोड़े हुये पानी से वुज़ू जाइज़ नहीं जैसे केले का पानी या अंगूर, अनार और तरबूज़ का पानी और गन्ने का रस।

मसअ्ला :– जो पानी गर्म मुल्क में गर्म मौसम में सोने चाँदी के सिवा किसी और धात के बर्तन में धूप में गर्म हो गया तो जब तक गर्म है उस से वुज़ू और गुस्ल न करना चाहिये और न उसको पीना चाहिए बल्कि बदन को किसी तरह न पहुँचना लगना चाहिए यहाँ तक कि अगर उस से कपड़ा भीग जाये तो जब तक ठंडा न हो ले उस के पहनने से बचें क्योंकि उस पानी के इस्तेमाल से बर्स का ख़तरा है फिर भी अगर वुज़ू या गुस्ल कर लिया तो हो जायेगा।

मसअ्ला :– छोटे छोटे गड्ढों में पानी है और उसमें नजासत का पड़ना मालूम नहीं तो उस से वुज़ू जाइज़ है।

मसअ्ला :– काफ़िर की यह ख़बर कि यह पानी पाक है या नापाक तो वह ख़बर मानी न जायेगी दोनों सूरतों में पानी पाक रहेगा कि यह पानी की अस्ली हालत है।

मसअ्ला :– नाबालिग़ का भरा हुआ पानी कि शरीअ़त की रौशनी में वह नाबालिग़ उस पानी का मालिक हो जाये उसे पीना,उससे नहाना वुज़ू करना या और किसी काम में लाना उसके माँ बाँप या जिसका वह नौकर है उसके सिवा किसी को जाइज़ नहीं अगर्चे वह इजाज़त भी दे दे अगर वुज़ू कर लिया तो वुज़ू हो जायेगा लेकिन गुनाहगार होगा यहाँ से उस्तादों को सबक़ लेना चाहिए कि अकसर वह नाबालिग़ बच्चों से पानी भरवा कर अपने काम में लाया करते हैं इसी तरह बालिग़ का भरा हुआ पानी बिना इजाज़त ख़र्च करना भी ह़राम है।

मसअ्ला :– नजासत से पानी का रंग बू और मज़ा बदल गया तो उस को अपने इस्तिअ्माल में भी लाना नाजाइज़ और जानवरों को पिलाना भी जाइज़ नहीं हाँ गारे वग़ैरा के काम में लासकतें है मगर उस गारे मिट्टी को मस्जिद की दीवार वग़ैरा में ख़र्च करना जाइज़ नहीं ।

कुँए का बयान

मसअ्ला :– कुँए में आदमी या किसी जानवर का पेशाब या बहता हुआ खून ताड़ी सेंधी किसी त़रह कि शराब का क़त्‌रा नापाक लकड़ी या नापाक कपड़ा या और कोई नापाक चीज़ गिरी तो कुँऐ का सारा पानी निकाला जायेगा

मसअ्ला :– जिन चौपायों का गोश्त नहीं खाया जाता उनके पेशाब,पाखाने से कुँए का पानी नापाक हो जायेगा। यूँही मुर्ग़ी और बत्तख़ की बीट से भी नापाक हो जायेगा इन सब सूरतों में सब पानी निकाला जायेगा।

मसअ्ला :– मेंगनियाँ, लीद और गोबर अगर्चे नापाक हैं लेकिन कुँए में अगर थोड़ा गिर जायें तो ज़रूरत की वजह से मुआफ़ हैं। पानी पर नापाकी का हुक्म न लगाया जायेगा और उड़ने वाले ह़लाल जानवर जैसे कबूतर चिड़िया की बीट या शिकारी परिन्दे जैसे चील,शिकरा या बाज़ की बीट गिर जाये तो नापाक न होगा। यूँही चूहे और चमगादड़ के पेशाब से भी नापाक न होगा।

मसअ्ला :– पेशाब की बारीक बुन्दकियाँ सुई की नोंक की तरह और नजिस गुबार पड़ने से नापाक न होगा।

मसअ्ला :– जिस कुँए का पानी नापाक हो गया उसका एक क़त्‌रा भी पाक कुँए में पड़ जाये तो यह भी नापाक हो गया,जो हुक्म इसका है वही उसका हो गया। युँही डोल,रस्सी और घड़ा जिनमें नापाक कुँए का पानी लगा था कुँए में पड़े तो वह पाक भी नापाक हो जायेगा।

मसअ्ला :– कुँए में आदमी बकरी या कुत्ता या और कोई खून वाला जानवर या उनके बराबर या उनसे बड़ा जानवर गिर कर मर जाये तो कुल पानी निकाला जायेगा।

मसअ्ला :– मुर्ग़ा ,मुर्ग़ी, बिल्ली,चूहा,छिपकली या और कोई जानवर जिसमें बहता हुआ खुन हो कुँए में मर कर फूल जाये या फ़ट जाये कुल पानी निकाला जायेगा और अगर यह सब कुँए से बाहर मरे और फिर कुँए में गिर गये जब भी यही हुक्म है।

मसअ्ला :– छिपकली या चूहे की दुम कट कर कुँए में गिरी अगर्चे फूली फ़टी न हो कुल पानी निकाला जायेगा मगर उसकी जड़ में अगर मोम लगा हो तो बीस डोल निकाला जायेगा अगर बिल्ली ने चूहे को दबोचा और वह ज़ख़्मी हो गया फिर उससे छूट कर कुँए में गिरा तो सारा पानी

निकाला जायेगा।

मसअ्ला :– चूहा,छछूँदर,चिड़िया,छिपकली,गिरगिट,या उनके बराबर या उनसे छोटा कोई खून वाला जानवर कुँए में गिर कर मर गया तो बीस डोल से तीस डोल पानी निकाला जायेगा यानी अगर बड़ा डोल है तो बीस डोल और छोटा डोल है तो तीस डोल पानी निकाला जायेगा।

मसअ्ला :– कबूतर मुर्ग़ी या बिल्ली गिर कर मरे तो चालीस से साठ डोल तक निकाला जायेगा यानी अगर बड़ा डोल है तो चालीस डोल और छोटा डोल है तो साठ डोल पानी निकाला जायेगा।

मसअ्ला :– आदमी का बच्चा जो ज़िन्दा पैदा हुआ आदमी के हुक्म में है। बकरी का छोटा बच्चा-बकरी के हुक्म में है।

मसअ्ला :– जो जानवर कबूतर से छोटा हो चूहे के हुक्म में है और जो बकरी से छोटा हो मुर्ग़ी के हुक्म में है।

मसअ्ला :– दो चूहे गिर कर मर जायें तो वही बीस से तीस डोल पानी निकाला जाए और तीन चार या पाँच हों तो चालीस से साठ तक और छः हों तो कुल पानी निकाला जायेगा।

मसअ्ला :– दो बिल्लियाँ मर जायें तो सब पानी निकाला जायेगा।

मसअ्ला :– मुसलमान मुर्दा नहलाने के बाद कुँए में गिर जाये तो पानी निकालने की हर्गिज़ ज़रूरत नहीं और शहीद गिर जाये और बदन पर खून न लगा हो तो भी कुछ ज़रूरत नहीं और अगर खून लगा था और बहने के क़ाबिल न था तो भी कुछ ज़रूरत नहीं अगर्चे वह खून उसके बदन.पर से धुल कर पानी में मिल जाये और अगर बहने के क़ाबिल खून उसके बदन से अलग होकर पानी में मिल जाये और अगर बहने के क़ाबिल खून उसके बदन पर लगा हुआ है और सूखा गया है और शहीद कि गिरने से उसके बदन से अलग होकर पानी में न मिला जब भी पानी पाक रहेगा कि शहीद का खून जब तक उसके बदन पर है कितना ही हो पाक है। हाँ यह खून उसके बदन से जुदा होकर पानी में मिल जाये तो अब नापाक है।

मसअ्ल :– काफ़िर मुर्दा अगर सौ बार भी धोया गया हो कुँए में गिर जाये तो उसकी उंगली या नाख़ून पानी से लग जाये पानी नजिस हो जायेगा।

मसअ्ला :– कच्चा बच्चा या जो बच्चा मुर्दा पैदा हुआ अगर कुँए में गिर जाये तो सब पानी निकाला जायेगा अगर्चे गिरने से पहले नहला दिया गया हो।

मसअला :– बे वुज़ू और जिस आदमी पर नहाना फ़र्ज़ हो अगर बिला ज़रूरत कुँए में उतरें और उसके बदन पर नजासत न लगी हो तो बीस डोल पानी निकाला जायेगा और अगर डोल निकालने के लिये उतरा तो कोई हर्ज नहीं।

मसअला :– सुअर कुँए में अगर गिर जाये और अगर्चे न मरे कुँए का पानी नजिस हो गया और सब पानी निकाला जायेगा।

मसअला :– सुअर के सिवा और कोई जानवर कुँए में गिरा और ज़िन्दा निकला और उसके जिस्म पर नजासत का यक़ीन न हो और पानी में उसका मुँह न पड़ा तो पाक है उसका इस्तेमाल जाइज़ मगर बीस डोल पानी निकालना बेहतर है और अगर उसके बदन पर नजासत लगी रहने का यक़ीन हो तो सारा पानी निकाला जायेगा और अगर उसका मुँह पानी में पड़ा तो उसके लुआब और उसके

झूटे का जो हुक्म है वही हुक्म उस पानी का है अगर झूटा नापाक या मशकूक हो तो सारा पानी निकाला जायेगा और अगर मकरूह है तो चूहे वग़ैरा में बीस डोल, मुर्ग़ी छूटी हुई में चालीस और जिसका झूटा पाक है उस में भी बीस डोल निकालना बेहतर है मसलन बकरी गिरी और ज़िन्दा निकल आई तो बीस डोल निकालें।

मसअ्ला :– कुँए में वह जानवर गिरा जिसका झुटा पाक या मकरूह है और उसमें से पानी कुछ न निकाला और वुज़ू कर लिया तो वुज़ू हो जायेगा।

मसअ्ला :– जूता या गेंद, कुँए में गिर गई और उसका नजिस होना यक़ीनी है तो कुल पानी निकाला जायेगा नहीं तो बीस डोल और ख़ाली नजिस होने का ख़्याल एअ्तेबार के लाइक नहीं।

मसअ्ला :– जो जानवर पानी में पैदा होता है अगर कुँए में मर जाये या मरा हुआ गिर जाये तो नापाक न होगा अगर्चे फूला फटा हो मगर फट कर उसके टुकड़े अगर पानी में मिल गये तो उस पानी का पीना हराम है।

मसअ्ला :– खुश्की और पानी के मेंढक का एक हुक्म है। यानी उसके मरने बल्कि सड़ने से भी पानी नजिस न होगा मगर, जंगल का बड़ा मेंढक जिस में बहने के क़ाबिल ख़ून होता है उसका हुक्म चूहे की मिस्ल है पानी और खुश्की के मेंढक में फ़र्क़ यह है कि पानी के मेंढक की उंगलियों के दरम्यान झिल्ली होती है और खुश्की वाले में नहीं।

मसअ्ला :– जिसकी पैदाइश पानी में न हो मगर पानी में रहता हो जैसे बत्तख़ तो उसके मर जाने से पानी नापाक हो जायेगा।

मसअ्ला :– बच्चे या काफ़िर ने पानी में हाथ डाल दिया तो अगर उनके हाथों का नजिस होना मालूम है जब तो ज़ाहिर है कि पानी नजिस है नहीं तो नजिस तो नहीं है लेकिन दूसरे पानी से वुज़ू करना बेहतर है।

मसअ्ला :– जिन जानवरों में बहता हुआ खून नहीं होता जैसे मच्छर और मक्खी वग़ैरा तो उनके मरने से पानी नजिस न होगा।

फ़ायदा :– मक्खी अगर सालन वग़ैरा में गिर जाये तो उसे डुबो कर फेंक दें और सालन को काम में लायें।

मसअ्ला :– मुर्दार की हड्डी जिसमें गोश्त या चिकनाई लगी हो अगर पानी में गिर जाये तो वह पानी नापाक हो गया, कुल निकाला जाये और अगर गोश्त या चिकनाई न लगी हो तो पाक है मगर सुअर की हड्डी हर हालत में नापाक है चाहें उसमें गोश्त या चिकनाई हो या न हो।

मसअ्ला :– जिस कुँए का पानी नापाक हो गया उसमें से जितना पानी निकालने का हुक्म है निकाल लिया गया तो अब वह रस्सी डोल जिससे पानी निकाला है पाक हो गया धोने की ज़रूरत नहीं।

मसअ्ला :– कुल पानी निकालने का यह मतलब है कि इतना पानी निकाल लिया जाये कि अब डोल डालें तो आधा भी न भरे। कुँए की मिट्टी निकालने की ज़रूरत नहीं और न दीवार धोने की ज़रूरत है क्योंकि वह दीवार पाक हो गई।

मसअ्ला :– कुँए से बीस तीस डोल या सब पानी निकालने के लिये कहा जाता है उसका मतलब यह है कि पहले उस चीज़ को उसमें से निकाल लें जो उसमें गिरी है फिर पानी निकालें अगर वह

चीज़ उसमें पड़ी रही तो कितना ही पानी निकालें बेकार है।

मसअला :– और अगर वह सड़ गल कर मिट्टी हो गई या वह चीज़ खुद नजिस न थी बल्कि किसी नजिस चीज़ के लगने से नजिस हो गई हो जैसे नजिस कपड़ा और उसका निकालना मुश्किल हो तो अब सिर्फ़ पानी निकालने से पाक हो जायेगा।

मसअला :– जिस कुँए का डोल ख़ास हो तो उसी का एअ्तेबार है उसके छोटे बड़े होने का कुछ लिहाज़ नहीं और अगर उसका कोई ख़ास डोल न हो तो कम से कम एक साअ् (यह एक ऐसा पैमाना होता है जिसमें दो किलो पैंतालीस ग्राम गेहूँ आ जाता है)पानी उस में आ जाये।

मसअला :– डोल भरा हुआ निकलना ज़रूरी नहीं अगर कुछ पानी छलक कर गिर गया या टपक कर गिर गया मगर जितना बचा वह आधे से ज़्यादा है तो वह पूरा ही डोल गिना जायेगा।

मसअला :– अगर डोल मुक़र्रर है मगर जिस डोल से पानी निकाला वह उससे छोटा या बड़ा है या डोल मुक़र्रर नहीं और जिससे निकाला वह एक साअ् से कम या ज़्यादा है तो इन सूरतो में हिसाब कर के उसे मुक़र्रर या एक साअ् के बराबर कर लें।

मसअला :– अगर कुँए से मरा हुआ जानवर निकला तो अगर उसके गिरने और मरने का वक़्त मालूम है तो उसी वक़्त से पानी नजिस है उसके बाद अगर किसी ने उससे वुज़ू या ग़ुस्ल किया तो न वुज़ू हुआ और न ग़ुस्ल। उस वुज़ू और ग़ुस्ल से जितनी नमाज़ें पढ़ीं सब को लौटाये क्यूँकि वह नमाज़ें नहीं हुईं ऐसे ही उस पानी से कपड़े धोये या किसी और तरीक़े से उसके बदन या कपड़े में लगा तो कपड़े और बदन का पाक करना ज़रूरी है और उनसे जो नमाज़ें पढ़ीं उनका लौटाना फ़र्ज़ है। और अगर वक़्त मालूम नहीं तो जिस वक़्त देखा गया उस वक़्त से नजिस करार पायेगा अगर्चे फूला फटा हो और उससे पहले पानी नजिस नहीं और पहले जो वुज़ू या ग़ुस्ल किया या कपड़े धोये तो कुछ हर्ज नहीं.आसानी के लिए इसी पर अ़मल है।

मसअला :– जो कुँआ ऐसा है कि उसका पानी टूटता ही नहीं चाहे जितना ही पानी निकालें और उसमें नजासत पड़ गई या उसमें कोई ऐसा जानवर मर गया जिसमें कुल पानी निकालने का हुक्म है तो ऐसी हालत में हुक्म यह है कि मालूम कर लें कि उसमें पानी कितना है वह सब निकाल लिया जाये,निकालते वक़्त जितना ज़्यादा होता गया उसका कुछ लिहाज़ नहीं और यह मालूम करलेना कि इस वक़्त कितना पानी है उसका एक तरीक़ा तो यह है कि दो परहेज़गार मुसलमान जिनको यह महारत हो कि पानी की चौड़ाई गहराई देखकर बता सकें कि इस कुँए में इतना पानी है वह जितने डोल बतायें उतने निकाले जायें।

और दूसरा तरीक़ा यह है कि उस पानी की गहराई किसी लकड़ी या रस्सी से ठीक तरीक़े से नाप लें और कुछ लोग फुर्ती से सौ डोल निकालें फिर पानी नापें जितना कम हुआ उसी हिसाब से पानी निकाल लें,कुँआ पाक हो जायेगा। उसकी मिसाल यह है कि पहली बार नापने से मालूम हुआ कि पानी जैसे दस हाथ है फिर सौ डोल में एक हाथ कम हुआ तो दस हाथ में दस सौ यानी एक हज़ार डोल हुए।

मसअला :– जो कुआँ ऐसा है कि उसका पानी टूट जायेगा मगर उसमें उसके फट जाने या दूसरे नुक़सान का ख़तरा है तो भी उतना ही पानी निकाला जाये जितना उस वक़्त उस में मौजूद है पानी

तोड़ने की ज़रूरत नहीं।

मसअला :— कुँए से जितना पानी निकालना है उसमें इख़्तेयार है कि एक दम से उतना निकालें या थोड़ा—थोड़ा कर के दोनों हालतों में पाक हो जायेगा।

मसअला :— मुर्ग़ी का ताज़ा अन्डा जिस पर अभी रतूबत लगी हो पानी में पड़ जाये तो नजिस न होगा यूँही बकरी का बच्चा पैदा होते हीं पानी में गिरा और मरा नहीं जब भी नापाक न होगा।

आदमी और जानवर के झूठे का बयान

मसअला :— आदमी चाहे जुनुब हो या हैज़ और निफ़ास वाली औरत हो उसका झूठा पाक है। काफ़िर का झूटा भी पाक है मगर उससे बचना चाहिये जैसे थूक, रेंठ और खंखार कि पाक है मगर आदमी उन से घिन करता है और इससे बहुत बदतर काफ़िर के झूटे को समझना चाहिये।

मसअला :— किसी के मूँह से इतना ख़ून निकला कि थूक में सुर्ख़ी आ गई और उसने फ़ौरन पानी पिया तो यह झूटा नापाक है और सुर्ख़ी जाती रहने के बाद उस पर लाज़िम है कि कुल्ली करके मुँह पाक करे और अगर कुल्ली न की और चन्द बार थूक का गुज़र नजासत की जगह पर हुआ चाहे निगलने में या थूकने में यहाँ तक कि नजासत का असर न रहा तो पाकी हो गई उसके बाद अगर पानी पियेगा तो पाक रहेगा अगरचे ऐसी सूरत में थूक निगलना सख़्त नापाक बात और गुनाह है।

मसअला :— मआज़अल्लाह शराब पीकर फ़ौरन पानी पिया तो वह पानी नापाक हो गया और अगर इतनी देर ठहरा कि शराब का हिस्सा थूक में मिल कर हलक़ से उतर गया तो नापाक नहीं मगर शराबी और उसके झूटे से बचना ही चाहिये।

मसअला :— शराबी की मूछें बड़ी हों कि शराब मूछों में लगी तो जब तक उनको पाक न करेगा तो जो पानी पियेगा वह पानी और बर्तन दोनों नापाक हो जायेंगे।

मसअला :— मर्द को ग़ैर औरत का और औरत को ग़ैर मर्द का झूटा अगर मालूम हो कि फ़ुलानी औरत या फ़ुलाने मर्द का झूटा है तो लज़्ज़त के तौर पर खाना पीना मकरूह है मगर उस खाने और पानी में कोई कराहत नहीं आई और अगर मालूम न हो कि किसका है या लज़्ज़त के तौर पर खाया पिया न गया हो तो कोई हर्ज नहीं बल्कि कुछ सूरतों में बेहतर है जैसे बा शरअ़ आलिम या दीनदार पीर का झूटा कि उसे तबर्रुक जानकर लोग खाते पीते हैं।

मसअला :— जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है चौपाये हों या परिन्दे उनका झूटा पाक है अगर्चे नर हों जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, कबूतर और तीतर वग़ैरा और जो मुर्ग़ी आज़ाद छुटी फिरती हो और गन्दग़ी पर मुँह मारती हो उसका झूटा मकरुह है और बन्द रहती है तो पाक है।

मसअला :— ऐसे ही कुछ गायें जो गन्दगी खाती हैं उनका झूटा मकरुह है और अगर अभी नजासत खाई और उसके बाद कोई ऐसी बात न पाई गई जिससे उसके मुँह की पाकी हो जाती (जैसे जारी पानी में पीना या जो पानी जारी न हो उसमें तीन जगह से पीना) और इस हालत में पानी में मुँह डाल दिया तो नापाक हो गया।

इसी तरह अगर बैल,भैंसे और बकरे नरों ने मादा का पेशाब सूँघा और उससे उनका मुँह नापाक हुआ और निगाह से गाइब न हुए और न इतनी देर गुज़री कि जिसमें पाक हो जाता तो

उनका झूटा नापाक है और अगर चार पानियों में मुँह डालें तो पहले तीन नापाक और चौथा पाक है।

मसअ्ला :– घोड़े का झूटा पाक है।

मसअ्ला :– सुअर, कुत्ता, शेर,चीता,भेड़िया, हाथी,गीदड़ और दूसरे दरिन्दों का झुठा नापाक है।

मसअ्ला :– कुत्ते ने बर्तन में मुँह डाला तो अगर वह चीनी या धात का है या मिट्टी का रोग़नी या इस्तेमाल में लाये हुआ चिकना बर्तन तो तीन बार धोने से पाक हो जायेगा नहीं तो हर बार सुखा कर पाक होगा। हाँ चीनी के बर्तन में बाल हो या और बर्तन में दरार हो तो तीन बार सुखाकर पाक होगा,सिर्फ़ धोने से पाक न होगा।

मसअ्ला :– मटके को कुत्ते ने ऊपर से चाटा तो उसमें का पानी नापाक न होगा।

मसअ्ला :– उड़ने वाले शिकारी जानवर जैसे शिकरा,बाज़ बहरी और चील वग़ैरा का झूठा मकरुह है और यही हुक्म कौए का है और अगर उनको पाल कर शिकार के लिये सिखा लिया हो और चोंच में नजासत न लगी हो तो उसका झूठा पाक है।

मसअ्ला :– घर में रहने वाले जानवर जैसे बिल्ली,चूहा,साँप और छिपकली का झूठा मकरुह है।

मसअ्ला :– अगर किसी का हाथ बिल्ली ने चाटना शुरू किया तो चाहिये कि फ़ौरन हाथ खींचे ले। यूँही छोड़ देना कि चाटती रहे मकरूह है और हाथ धो लेना चाहिये अगर बे धोये नमाज़ पढ़ ली तो हो जायेगी मगर धोना औला है यानी ज़्यादा अच्छा है।

मसअ्ला :– बिल्ली ने चूहा खाया और फ़ौरन बर्तन में मुँह डाल दिया तो पानी नापाक हो गया और अगर जुबान से मुँह चाट लिया कि खून का असर जाता रहा तो नापाक नहीं।

मसअ्ला :– पानी के रहने वाले जानवर का झूठा पाक है चाहे उनकी पैदाइश पानी में हो या न हो।

मसअ्ला :– गधे ख़च्चर का झूठा मशकूक (शक वाला) है यानी उसके वुजू के क़ाबिल होने में शक है और इसीलिये उससे वुजू नहीं हो सकता क्योंकि जब हदस का यक़ीन हो वह यक़ीन मशकूक तहारत से दूर न होगा।

मसअ्ला :– जो झूठा पानी पाक है उससे वुजू और गुस्ल दोनों जाइज़ हैं मगर जिस पर नहाना ज़रूरी हो उसने अगर बग़ैर कुल्ली के पानी पिया तो उसके झूठे पानी से वुजू जाइज़ नहीं कि वह पानी इस्तेअ्माली हो गया।

मसअ्ला :– अच्छा पानी होते हुए मकरूह पानी से वुज़ू गुस्ल मकरूह और अगर अच्छा पानी मौजूद नहीं तो कोई हर्ज नहीं इसी तरह मकरूह झूठे का खाना पीना मालदार को मकरूह है ग़रीब मुहताज को बिला कराहत जाइज़ है।

मसअ्ला :– अच्छा पानी होते हुए शक वाले पानी से वुजू और गुस्ल जाइज़ नहीं और अच्छा पानी न हो तो उसी से वुजू और गुस्ल कर ले और साथ ही साथ तयम्मुम भी करे और अच्छा यह है कि वुजू पहले करे और अगर तयम्मुम पहले कर लिया और वुजू बाद में किया जब भी कोई हर्ज नहीं और इस सूरत में वुजू और गुस्ल में नियत करनी ज़रूरी है और अगर वुजू किया और तयम्मुम न किया या तयम्मुम किया और वुजू न किया तो नमाज़ न होगी।

मसअ्ला :– मशकूक झूठे को खाना पीना न चाहिये अगर मशकूक पानी अच्छे पानी में मिल गया तो अगर अच्छा पानी ज़्यादा है तो उस से वुजू हो सकता है वर्ना नहीं।

मसअ्ला :– जिसका झुठा नापाक है उसका पसीना और लुआ़ब भी नापाक और जिसका झूठा पाक उसका पसीना और लुआ़ब भी पाक और जिस का झूठा मकरूह उसका लुआ़ब और पसीना भी मकरूह है।

मसअ्ला :– गधे, ख़च्चर का पसीना अगर कपड़े में लग जाये तो कपड़ा पाक है चाहे कितना ही ज़्यादा लगा हो।

तयम्मुम का बयान

अल्लाह तआ़ला इरशाद फ़रमाता है

وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى اَوْعَلٰى سَفَرٍ اَوْجَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ اَوْلٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ.

तर्जमा :– "अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो या तुममें का कोई पाख़ाने से आया या औरतों से मुबाशिरत(हमबिस्तरी) की और पानी न पाओ तो पाक मिट्टी का क़स्द(इरादा) करो तो अपने मुँह और हाथों का उस से मसह करो"।

हदीस न.1 :– स़ही बुख़ारी में हज़रते आ़इशा सि़द्दीक़ा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत है कि वह फ़रमाती हैं कि हम रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में गये यहाँ तक कि जब बेदा या ज़ातुल जैश (जगह के नाम) में पहुँचे तो मेरी हैकल टुट गई। हुज़ूर उसे तलाश करने के लिये ठहर गये और लोग भी हुज़ूर के साथ ठहरे। वहाँ पानी न था और न लोगों के साथ पानी था। लोगों ने हज़रते अबूबक्र से कहा कि क्या आप नहीं देखते कि सि़द्दीक़ा ने क्या किया,हुज़ूर को और सबको ठहरा लिया और न यहाँ पानी है और न लोगों के साथ पानी है। फ़रमाती हैं कि ह़ज़रते अबुबक्र रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु आये और हुज़ूर अपना सरे मुबारक मेरे ज़ानू पर रखकर आराम फ़रमा रहे थे। उन्होंने फ़रमाया तूने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम और लोगों को रोक लिया हालाँकि न यहाँ पानी है न लोगों के साथ पानी है। उम्मुल मोमिनीन फ़रमाती हैं कि मुझ पर सख़्ती की और अल्लाह ने जो चाहा उन्होंने कहा और अपने हाथ से मेरी कोख में कोंचना शुरू़ किया मैं हट सकती थी मगर चुँकि हुज़ूर मेरे ज़ानू पर सर रख कर आराम फ़रमा रहे थे इसलिये मैं हिल भी न सकी। जब सुबह़ हुई तो हुज़ूर उठे। वह जगह ऐसी थी कि वहाँ पानी न था तो अल्लाह तआ़ला ने तयम्मुम की आयत उतारी और लोगों ने तयम्मुम किया। उस पर उसैद इब्ने हुज़ैर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने कहा ऐ आले अबूबक्र यह तुम्हारी पहली बरकत नहीं यानी ऐसी बरकतें तुम से होती ही रहती हैं। फ़रमाती हैं कि जब मेरी सवारी का ऊँट उठाया गया तो वह हैकल उसके नीचे मिली।

हदीस न.2 :– मुस्लिम शरीफ़ में हज़रते हुज़ैफ़ा से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं कि जिनसे हम लोगों पर फ़ज़ीलत दी गई है यह तीन बातें है।

1. हमारी सफ़ें फ़रिश्तों की सफ़ों की त़रह़ की गईं।
2. हमारे लिये तमाम ज़मीन मस्जिद कर दी गई।

3.और जब हमें पानी न मिले तो ज़मीन की ख़ाक हमारे लिये पाक करने वाली बनाई गई।
हदीस न.3 :– इमाम अहमद व अबू दाऊद व तर्मिज़ी अबू ज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि पाक मिट्टी मुसलमान का वुज़ू है अगर्चे दस बर्स पानी न पाये और जब पानी पाये तो अपने बदन को पानी पहुँचाये यानी नहाये और वुज़ू करे कि यह उसके लिये बेहतर है।

हदीस न.4 :– अबू दाऊद और दारमी ने अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है कि वह फ़रमाते हैं कि दो आदमी सफ़र में गये,नमाज़ का वक़्त आ गया उनके साथ पानी न था। पाक मिट्टी पर तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ली फिर वक़्त के अन्दर ही पानी मिल गया। इनमें से एक साहब ने वुज़ू करके दोहराई और दूसरे ने न दोहरायी फिर जब हुज़ूर के पास दोनों पहुँचे और इस बात का ज़िक्र किया तो जिसने नमाज़ न लौटाई थी उससे फ़रमाया कि तू सुन्नत को पहुँचा यानी सुन्नत अदा की और तेरी नमाज़ हो गई और जिसने वुज़ू कर के नमाज़ दोहराई थी उससे फ़रमाया तुझे दूना सवाब है।

हदीस न.5 :– सही बुख़ारी और मुस्लिम में इमरान रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हम एक सफ़र में नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ थे। हुज़ूर ने नमाज़ पढ़ाई जब नमाज़ पढ़ चुके तो देखा कि एक आदमी लोगों से अलग बैठा हुआ है जिसने क़ौम के साथ नमाज़ न पढ़ी थी। हुज़ूर ने फ़रमाया कि ऐ शख़्स तूझको नमाज़ पढ़ने से किस चीज़ ने रोका। उसने कहा कि मुझे नहाने की ज़रूरत है और पानी नहीं है। हुज़ूर ने फ़रमाया कि मिट्टी ले यानी तयम्मूम करो कि वह तुम्हारे लिये काफ़ी है।

हदीस न6 :– सहीहैन मे अबू जहीम इब्ने हारिस से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेअरे जमल की तरफ़(मदीने शरीफ़ में एक मकान है) से तशरीफ़ ला रहे थे एक शख़्स ने हुज़ूर को सलाम किया आप ने उसका जवाब न दिया यहाँ तक कि एक दीवार की तरफ़ गये और मुँह और हाथों का मसह किया फिर उसके सवाल का जवाब दिया।

तयम्मुम के मसाइल

मसअ्ला :– जिसका वुज़ू न हो या नहाने की ज़रूरत हो और पानी पर कुदरत न हो तो वुज़ू और ग़ुस्ल की जगह तयम्मुम करे पानी पर कुदरत न होने की चन्द सूरतें हैं।
(1) ऐसी बीमारी कि वुज़ू या ग़ुस्ल से उसके ज़्यादा होने या देर में अच्छा होने का सही अन्देशा हो,चाहे उसने ख़ूद आज़माया हो कि जब वुज़ू और ग़ुस्ल करता है तो बीमारी बढ़ जाती है या यह कि किसी मुसलमान अच्छे लाइक़ हकीम ने जो ज़ाहिर में फ़ासिक़ न हो यह कह दिया हो कि पानी नुक़सान करेगा।

मसअ्ला :– सिर्फ़ ख़्याल ही ख़्याल मर्ज़ बढ़ने का हो तो ऐसी सूरत में तयम्मुम जाइज़ नहीं यूँही काफ़िर, फ़ासिक़ या मामूली तबीब के कहने का कोई एअ्तिबार नहीं।

मसअ्ला :– अगर पानी बीमारी को नुक़सान नहीं करता मगर वुज़ू या ग़ुस्ल के लिये उसके हिलने डुलने से नुक़सान होता है या ख़ुद वुज़ू नहीं कर सकता और कोई ऐसा भी नहीं जो वुज़ू करा दे तो तयम्मुम कर ले। ऐसे ही किसी के हाथ फट गये कि ख़ूद वुज़ू नहीं कर सकता और कोई

दूसरा वुजू कराने वाला भी नहीं तो तयम्मुम करे।

मसअ्ला :– बेवुजू के अकसर आज़ाए वुजू (यानी वुजू के ज़्यादातर हिस्से) में या जुनुबी (जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो) के बदन के ज़्यादा हिस्सों में ज़ख़्म या चेचक हो तो तयम्मुम करे नहीं तो जो हिस्सा उ़ज़्व या बदन का अच्छा हो उसको धोये और ज़ख़्म की जगह और नुक़सान के वक़्त उसके आस पास भी मसह करे और उस पर मसह करने से भी नुक़सान करे तो उस उ़ज़्व पर कपड़ा डाल कर उस पर मसह करे।

मसअ्ला :– बीमारी में अगर ठंडा पानी नुक़सान करता है और गर्म पानी से नुक़सान न हो तो गर्म पानी से वुजू और गुस्ल ज़रूरी है तयम्मुम जाइज़ नहीं। हाँ अगर ऐसी जगह हो कि गर्म पानी न मिल सके तो तयम्मुम करे फिर अगर ठन्डे वक़्त वुजू या गुस्ल नुक़सान करता है और गरम वक़्त में नहीं करता तो ठंडे वक़्त में तयम्मुम करे फिर जब गर्म वक़्त आये तो अगली नमाज़ के लिये वुजू कर लेना चाहिए और जो नमाज़ उस तयम्मुम से पढ़ ली उसके लौटाने की ज़रूरत नहीं।

मसअ्ला :– अगर सर पर पानी डालना नुक़सान करता है तो गले से नहाये और पूरे सर का मसह करे (2) और इस हालत में भी तयम्मुम कर सकता है जब कि वहाँ चारों तरफ़ एक एक मील तक पानी का पता न हो।

मसअ्ला :– अगर यह गुमान हो कि एक मील के अन्दर पानी होगा तो तलाश कर लेना ज़रूरी है बिना तलाश किये तयम्मुम जाइज़ नहीं फिर बग़ैर तलाश किये तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ ली और तलाश करने पर पानी मिल गया तो वुजू करके नमाज़ का लौटाना ज़रूरी है और अगर न मिला तो नमाज़ हो गई।

मसअ्ला :– अगर ज़्यादा गुमान यह है कि मील के अन्दर पानी नहीं है तो तलाश करना ज़रूरी नहीं फिर अगर तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ली और न तलाश किया और न कोई ऐसा है जिससे पूछे और बाद को मालूम हुआ कि पानी यहाँ से क़रीब है तो नमाज़ लौटाने की ज़रूरत नहीं मगर यह तयम्मुम अब जाता रहा और अगर कोई वहाँ था मगर उससे पूछा नहीं और बाद को मालूम हुआ कि पानी क़रीब है तो नमाज़ लौटाई जायेगी।

मसअ्ला :– और अगर क़रीब में पानी होने और न होने किसी का गुमान नहीं तो तलाश कर लेना मुस्तहब है और बग़ैर तलाश किये तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ ली तो नमाज़ हो गई।

मसअ्ला :– साथ में ज़म ज़म शरीफ़ है जो लोगों के तबर्रुक के लिये लेजा रहा है या बीमार को पिलाने के लिये और इतना है कि वुजू हो जायेगा तो तयम्मुम जाइज़ नहीं।

मसअ्ला :– अगर चाहे कि ज़मज़म शरीफ़ से वुजू न करे और तयम्मुम जाइज़ हो जाये तो उसका तरीक़ा यह है कि किसी ऐसे आदमी को कि जिस पर भरोसा हो कि वह वापस दे देगा, वह पानी उसे हिबा कर दे यानी दे दें और उसका कुछ बदला ठहराये तो अब तयम्मुम जाइज़ हो जायेगा।

मसअ्ला :– जो न आबादी में हो और न आबादी के क़रीब हो और उसके साथ पानी मौजूद हो लेकिन याद न हो और तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ ली तो नमाज़ हो गई और अगर आबादी या आबादी के क़रीब में हो तो नमाज़ दोहरा ले।

मसअ्ला :– अगर अपने साथी के पास पानी है और उसे यह गुमान है कि माँगने से दे देगा तो

माँगने से पहले तयम्मुम जाइज़ नहीं फिर अगर नहीं माँगा और तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ ली और नमाज़ के बाद माँगा तो उसने दे दिया या बिना माँगे उसने दिया तो वुज़ू कर के नमाज़ लौटाना ज़रूरी है और अगर माँगा और न दिया तो नमाज़ हो गई और अगर बाद को भी न माँगा जिससे उसके देने या न देने का हाल खुलता और न उसने खुद दिया तो नमाज़ हो गई और अगर देने का ग़ालिब गुमान नहीं और तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ली जब भी यही सूरतें हैं कि बाद को पानी दे दिया तो वुज़ू करे नमाज़ दोहरा ले वरना हो गई।

मसअला :– नमाज़ पढ़ते में किसी के पास पानी देखा और ग़ालिब गुमान यह है कि वह दे देगा तो चाहिये कि नमाज़ तोड़ दे और उससे पानी माँगे और अगर नहीं माँगा और पूरी कर ली और अब उसने खुद या उसके माँगने पर दे दिया तो नमाज़ का लौटाना ज़रूरी है और न दे तो हो गई और अगर देने का गुमान न था और नमाज़ के बाद उसने खुद दे दिया या माँगने से दिया जब भी नमाज़ लौटाये और अगर न उसने खुद दिया न उसने माँगा कि हाल मालूम होता तो नमाज़ हो गई और अगर नमाज़ पढ़ते में उसने खुद कहा कि पानी लो और वुज़ू कर लो और वह कहने वाला मुसलमान है तो नमाज़ जाती रही। नमाज़ का तोड़ देना फ़र्ज़ है और कहने वाला काफ़िर है तो न तोड़े फिर नमाज़ के बाद अगर उसने पानी दे दिया तो वुज़ू करके नमाज़ दोहरा ले।

मसअला :– और अगर यह गुमान है कि मील के अन्दर तो पानी नहीं मगर एक मील से कुछ ज्यादा दूरी पर मिल जायेगा तो नमाज़ के आख़िरी मुस्तहब वक़्त तक इन्तेज़ार करना मुस्तहब है मगर मग़रिब और इशा में इतनी देर न करे कि मकरूह वक़्त आ जाये और अगर देर न की और तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ ली तो नमाज़ हो जायेगी।

(3) इतनी सर्दी हो कि नहाने से मर जाने या बीमार होने का सख़्त ख़तरा हो और लिहाफ़ वग़ैरा कोई ऐसी चीज़ उसके पास नहीं जिसे नहाने के बाद ओढ़े और सर्दी के नुक़सान से बचे और न आग है जिससे ताप सके तो तयम्मुम जाइज़ है।

(4) दुश्मन का डर कि अगर उसने देख लिया तो मार डालेगा या माल छीन लेगा या उस ग़रीब नादार पर किसी का कर्ज़ा है कि उसे क़ैद करा देगा या उस तरफ़ साँप है कि वह काट खायेगा या शेर है कि फाड़ खायेगा या कोई बदकार शख़्स है और यह औरत या मर्द अमरद (नौ जवान लड़का जिस के ख़त न निकला हो) है जिसे अपनी बे–आबरूई का सख़्त ख़तरा है तो तयम्मुम जाइज़ है।

मसअला :– अगर ऐसा दुश्मन है कि वैसे उससे कुछ न बोलेगा मगर कहता है कि अगर वुज़ू के लिये पानी लोगे तो मार डालूँगा या क़ैद करा दुँगा तो इस सूरत में हुक्म यह है कि तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ले और फिर जब मौक़ा मिले तो वुज़ू करके नमाज़ दोहरा ले।

मसअला :– क़ैदी को जेल ख़ाने वाले वुज़ू न करने दें तो तयम्मुम करके पढ़ ले और नमाज़ दोहराये और अगर वह दुश्मन या क़ैद वाले नमाज़ भी न पढ़ने दें तो इशारे से पढ़े और फ़िर नमाज़ दोहरा ले।

(5) अगर जंगल में डोल रस्सी नहीं कि पानी भरे तो तयम्मुम जाइज़ है।

मसअला :– अगर उसके साथी के पास डोल रस्सी है और वह यह कहता है कि ठहर जाओ मैं

पानी भर लूँ तो तुमको दूँगा तो मुस्तहब है कि इन्तेज़ार करे और अगर इन्तेज़ार न किया और तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ ली तो नमाज़ हो गई।

मसअ्ला :— अगर रस्सी छोटी है कि पानी तक नहीं पहुँचती मगर उसके पास कोई कपड़ा(रूमाल, इमामा,या दुपट्टा वग़ैरा) ऐसा है कि उसके जोड़ने से पानी मिल जायेगा तो तयम्मुम जाइज़ नहीं।

(6) अगर प्यास का डर हो यानी उस के पास पानी है मगर वुज़ू या ग़ुस्ल के काम में लाये तो ख़ुद या दूसरा मुसलमान या अपना या उसका जानवर अगर्चे वह कुत्ता जिसका पालना जाइज़ है प्यासा रह जायेगा और अपनी या उनमें से किसी की प्यास चाहे अभी हो या आगे उसका सही अन्देशा हो कि वह रास्ता ऐसा है कि दूर तक पानी का पता नहीं तो तयम्मुम जाइज़ है।

मसअ्ला :— बदन या कपड़ा इस क़द्र नजिस है जिससे कि नमाज़ जाइज़ नहीं और पानी सिर्फ़ इतना है कि चाहे वुज़ू कर ले या उसको पाक कर ले दोनों काम नहीं हो सकते तो पानी से उसको पाक कर ले फिर तयम्मुम करे और अगर पहले तयम्मुम कर लिया उसके बाद पाक किया तो अब फिर तयम्मुम करे कि पहला तयम्मुम न हुआ।

मसअ्ला :— मुसाफ़िर को रास्ते में कहीं रखा हुआ पानी मिला तो अगर कोई वहाँ है तो उससे पूछ ले अगर वह कहे कि यह पानी सिर्फ़ पीने के लिये है तो तयम्मुम करे वुज़ू जाइज़ नहीं चाहे कितना ही हो और अगर उसने कहा कि पीने के लिये भी है और वुज़ू के लिये भी तो तयम्मुम जाइज़ नहीं और अगर कोई ऐसा नहीं जो बता सके और पानी थोड़ा हो तो तयम्मुम करे और ज़्यादा हो तो वुज़ू करे।

(7) पानी का महंगा होना यानी वहाँ के हिसाब से जो क़ीमत होनी चाहिये उससे दो गुना माँगता है तो तयम्मुम जाइज़ है और अगर क़ीमत में इतना फ़र्क़ नहीं तो तयम्मुम जाइज़ नहीं।

मसअ्ला :— अगर पानी मोल मिलता है और आदमी के पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसे नहीं तो तयम्मुम जाइज़ है।

(8) और अगर यह गुमान हो कि पानी तलाश करने में क़ाफिला नज़रों से ओझल हो जायेगा या रेल छूट जायेगी तो तयम्मुम जाइज़ है।

(9) और अगर यह ख़तरा हो कि नहाने से ईद की नमाज़ जाती रहेगी चाहे इस तरह कि इमाम नमाज़ पढ़ कर फ़ारिग़ हो जायेगा या ज़वाल का वक़्त आजायेगा तो इन दोनों सूरतों में तयम्मुम जाइज़ है।

मसअ्ला :— कोई आदमी वुज़ू कर के ईद की नमाज़ पढ़ रहा था कि नमाज़ के बीच उसका वुज़ू टुट गया तो अगर वुज़ू करेगा तो नमाज़ का वक़्त जाता रहेगा या जमाअत हो चुकी होगी तो तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ ले।

मसअ्ला :— गहन की नमाज़ के लिए भी तयम्मुम जाइज़ है जबकि वुज़ू करने में गहन खुल जाने या जमाअत हो जाने का अन्देशा हो।

मसअ्ला :— अगर वुज़ू करने से ज़ोहर या मग़रिब या इशा या जुमे की पिछली सुन्नतों का या चाश्त की नमाज़ का वक़्त जाता रहेगा तो तयम्मुम कर के नामज़ पढ़ ले।

(10) ग़ैरे वली को जनाज़े की नमाज़ छूट जाने का ख़ौफ़ हो तो तयम्मुम जाइज़ है,वली को नहीं कि उसका लोग इन्तेज़ार करेंगे और लोग बिना उसकी इजाज़त के पढ़ भी लें तो यह

दोबारा पढ़ सकता है।

मसअ्ला :– वली ने जिसको नमाज़ पढ़ाने की इजाज़त दी हो उसे तयम्मुम जाइज़ नहीं और वली को इस सूरत में अगर नमाज़ फ़ौत होने का ख़ौफ़ हो तो तयम्मुम जाइज़ है। ऐसे ही अगर दूसरा वली उससे बढ़कर मौजूद है तो उसके लिये तयम्मुम जाइज़ है। फ़ौत होने के डर का मतलब यह है कि चारों तकबीरें जाती रहने का डर हो और अगर यह मालूम हो कि एक तकबीर मिल जायेगी तो तयम्मुम जाइज़ नहीं।

मसअ्ला :– एक जनाज़े के लिये तयम्मुम किया और नमाज़ पढ़ी फिर दूसरा जनाज़ा आया अगर बीच में इतना वक़्त मिला कि वुज़ू करना चाहता तो कर लेता मगर न किया और अब वुज़ू करेगा तो नमाज़ हो चुकेगी तो इसके लिये अब दोबारा तयम्मुम करे और अगर इतना वक़्त न हो कि वुज़ू कर सके तो वही पहला तयम्मुम काफी है।

मसअ्ला :– सलाम का जवाब देने, दूरूद शरीफ़ वज़ीफ़ों के पढ़ने,सोने या बे वुज़ू को मस्जिद में जाने या ज़ुबानी क़ुर्आन शरीफ़ पढ़ने के लिये तयम्मुम जाइज़ है अगर्चे पानी पर क़ुदरत हो।

मसअ्ला :– जिस पर नहाना फ़र्ज़ है उसे बिना ज़रूरत मस्जिद में जाने के लिये तयम्मुम जाइज़ नहीं। हाँ अगर मजबूरी हो जैसे डोल रस्सी मस्जिद में हो और कोई उसका लाने वाला नहीं तो तयम्मुम करके जाये और जल्द से जल्द लेकर निकल आये।

मसअ्ला :– मस्जिद में सोया था और नहाने कीं ज़रूरत हो गई तो आँख खुलते ही जहाँ सोया था वहीं फ़ौरन तयम्मुम करके निकल आये वहाँ ठहरना हराम है।

मसअ्ला :– अगर किसी को पानी पर क़ुदरत हो तो उसे क़ुर्आन मजीद के लिये या सजदए तिलावत के लिये या सजदए शुक्र के लिये तयम्मुम जाइज़ नहीं।

मसअ्ला :– वक़्त इतना तंग हो गया कि वुज़ू या ग़ुस्ल करेगा तो नमाज़ क़ज़ा हो जायेगी तो चाहिए कि तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ ले और फ़िर वुज़ू या ग़ुस्ल कर के नमाज़ का दोहरना लाज़िम है।

मसअ्ला :– औ़रत हैज़ या निफ़ास से पाक हुई और उसे पानी पर क़ुदरत नहीं तो वह तयम्मुम करेगी।

मसअ्ला :– अगर मुर्दे को नहला न सकें चाहें इस वजह से कि पानी नहीं है या इस वजह से कि उसके बदन को हाथ लगाना जाइज़ नहीं जैसे अजनबी औ़रत या अपनी औ़रत कि मरने के बाद उसे छू नहीं सकता तो उसे तयम्मुम कराया जाये। ग़ैर महरम को अगर्चे शौहर हो औ़रत को तयम्मुम कराने में कपड़े को हाथ में हाइल होना चाहिए।

मसअ्ला :– जुनुब,हैज़ वाली औ़रत,मय्यत और बेवुज़ू यह सब एक जगह हैं और किसी ने नहाने भर को पानी देकर यह कहा कि जो चाहे ख़र्च करे तो बेहतर यह है कि जुनुब उससे नहाये और मुर्दे को तयम्मुम कराया जाये और दूसरे भी तयम्मुम करें और अगर यह कहा कि इसमें तुम सबका हिस्सा है और हर एक को उसमें से इतना हिस्सा मिला जो उसके काम के लिए पूरा नहीं तो चाहिए कि मुर्दे के ग़ुस्ल के लिये अपना अपना हिस्सा दे दें और सब तयम्मुम करें।

मसअ्ला :– दो आदमियों में एक बाप और एक बेटा है और किसी ने इतना पानी दिया कि उससे एक का वुज़ू हो सकता है तो वह पानी बाप के ख़र्च में आना चाहिए।

मसअ्ला :– अगर कोई ऐसी जगह है कि न पानी मिलता है और न पाक मिट्टी कि वुज़ू या

तयम्मुम कर सके तो उसे चाहिए कि नमाज़ के वक़्त में नमाज़ी की तरह सूरत बनाये यानी नमाज़ की तमाम हरकतें बिना नमाज़ की नीयत के बजा लाये।

मसअ्ला :– अगर कोई ऐसा है कि वुज़ू करता है तो पेशाब के कतरे टपकते हैं और तयम्मुम करे तो नहीं तो उसे लाज़िम है कि तयम्मुम करे।

मसअ्ला :– इतना पानी मिला जिससे वुज़ू हो सकता है और उसे नहाने की ज़रूरत है तो उस पानी से वुज़ू कर लेना चाहिये और गुस्ल के लिये तयम्मुम करे।

मसअ्ला :– तयम्मुम का तरीक़ा यह है कि दोनो हाथ की उंगलियाँ कुशादा करके यानी फैलाकर किसी ऐसी चीज़ पर जो ज़मीन की किस्म से हो मार कर लौट लें और ज़्यादा गर्द लग जाये तो झाड़ लें और उस से सारे मुँह का मसह करें फिर दूसरी मर्तबा युँही करे और दोनों हाथों का नाख़ून से कोहनियों समेत मृसह करें।

मसअ्ला :– वुज़ू और गुस्ल दोनों का तयम्मुम एक ही तरह है।

मसअ्ला :– तयम्मुम में तीन फ़र्ज़ हैं।

1.नियत करना :–

अगर किसी ने हाथ मिट्टी पर मार कर मुँह और हाथों पर फेर लिया और नियत न की तयम्मुम न होगा।

मसअ्ला :– काफ़िर ने इस्लाम लाने के लिये तयम्मुम किया तो उससे नमाज़ जाइज़ नहीं कि वह उस वक़्त तयम्मुम के अहल नहीं था अगर वह पानी पर कुदरत नहीं रखता तो सिरे से तयम्मुम करे।

मसअ्ला :– नमाज़ उस तयम्मुम से जाइज़ होगी जो पाक होने की नियत या किसी ऐसी इबादते मक्सूदा (इरादा की हुई किसी ऐसी इबादत) के लिए किया गया हो जो बिना पाकी के जाइज़ न हो तो अगर मस्जिद में जाने, या निकलने या कुर्आन मजीद छूने या अज़ान और इक़ामत (यह सब इबादते मक्सूदा नहीं) या सलाम करने या सलाम के जवाब देने या क़ब्रों की ज़ियारत या मय्यत के दफ़न करने या बे वुज़ू ने कुर्आन मजीद पढ़ने (इन सब के लिए तहारत शर्त नहीं) के लिए तयम्मुम किया हो तो उससे नमाज़ जाइज़ नहीं बल्कि जिस काम के लिये तयम्मुम किया गया है उसके अलावा कोई इबादत भी जाइज़ नहीं।

मसअ्ला :– जुनुब ने कुर्आन मजीद पढ़ने के लिये तयम्मुम किया हो तो उससे नमाज़ पढ़ सकता है और अगर किसी ने सजदए शुक्र की नियत से तयम्मुम किया तो उससे नमाज़ न होगी दूसरे को तयम्मुम का तरीक़ा बताने के लिये जो तयम्मुम किया उससे भी नमाज़ जाइज़ नहीं।

मसअ्ला :– नमाज़े जनाज़ा या ईदैन या सुन्नतों के लिए इस ग़र्ज़ से तयम्मुम हो कि वुज़ू करेगा तो यह नमाज़ें फ़ौत हो जायेंगी तो इस तयम्मुम से उस ख़ास नमाज़ के सिवा कोई दूसरी नमाज़ जाइज़ नहीं।

मसअ्ला :– नमाज़े जनाज़ा या ईदैन के लिए तयम्मुम इस तरह से किया कि बीमार था या पानी मौजूद न था तो उससे फ़र्ज़ और दूसरी इबादतें सब जाइज़ हैं।

मसअ्ला :– सजदए तिलावत के तयम्मुम से भी नमाज़ें जाइज़ हैं।

मसअ्ला :– जिस पर नहाना फ़र्ज़ है उसे यह ज़रूरी नहीं कि गुस्ल और वुज़ू दोनों के लिये दो

तयम्मुम करे बल्कि एक ही में दोनों की नियत कर ले दोनों हो जायेंगे और अगर सिर्फ़ गुस्ल या वुज़ू की नियत की जब भी काफ़ी है।

मसअ्ला :– बीमार या बिना हाथ पैर वाला अगर अपने आप तयम्मुम नहीं कर सकता तो उसे कोई दूसरा आदमी तयम्मुम करा दे और उस वक़्त तयम्मुम कराने वाले नियत का एअ्तेबार नहीं बल्कि अस्ल नियत उसकी मानी जायेगी जिसको तयम्मुम कराया जा रहा है।

2. सारे मुँह पर हाथ फ़ेरना :–

मसअ्ला :– सारे मुँह पर इस त़रह हाथ फेरा जायेगा कि तयम्मुम की जगह का कोई हिस़्सा बाक़ी न रह जाये अगर बाल बराबर भी कोई जगह रह गई तयम्मुम न होगा।

मसअला :– दाढ़ी, मूछों और भवों के बालों पर हाथ फिर जाना ज़रूरी है। मुँह कहाँ से कहाँ तक है इसको हमने वुज़ू में बयान कर दिया है। भवों के नीचे और आँखों के ऊपर जो जगह है और नाक के निचले हिस्से का ध्यान रखें कि अगर इन पर ध्यान न दिया गया तो उन पर हाथ न फिरेगा और ऐसी ह़ालत में तयम्मुम न होगा।

मसअ्ला :– अगर औरत नाक में फूल पहने हो तो उसे उतार ले नहीं तो फूल की जगह बाक़ी रह जायेगी और अगर नथ पहने हो जब भी ध्यान रखे कि नथनी की बजह से कोई जगह बाक़ी तो नहीं रह गई।

मसअ्ला :– नथनों के अन्दर मसह़ कुछ ज़रूरी नही।

मसअ्ला :– होंट का वह हिस़्सा जो मुँह बंद होने की ह़ालत में दिखाई देता है उस पर भी हाथ फेरना ज़रूरी है अगर किसी ने मसह़ करते वक़्त होंटों को ज़ोर से दबा लिया कि कुछ हिस़्सा बाक़ी रह गया तो तयम्मुम न होगा ऐसे ही अगर ज़ोर से आँखें बन्द कर लीं जब भी तयम्मुम न होगा।

मसअ्ला :– मूँछ के बाल इतने बढ़ गये कि होंट छुप गया तो उन बालों को उठा कर होंट पर हाथ फ़ेरे,बालों पर हाथ फ़ेरना काफ़ी नहीं।

3. दोनों हाथों का कुहनियों समेत मसह़ करना :–

मसअ्ला :– इसमें भी ध्यान रहे कि दोनों हाथों की ज़र्रा बराबर कोई जगह बाक़ी न रहे नहीं तो तयम्मुम न होगा।

मसअ्ला :– अगर अँगूठी छल्ले पहने हो तो उन्हें उतार कर उनके नीचे हाथ फेरना फ़र्ज़ है। औरतों को इसमें ध्यान देना चाहिये कंगन,चूड़ियाँ,और जितने ज़ेवर औरत हाथ में पहने हों सब को हटाकर या उतार कर जिस्म के हर हिस़्से पर हाथ पहुँचाये। इसकी एह़तेयात वुज़ू से बढ़कर है। हाँ तयम्मुम में सर और पाँव का मसह़ नहीं है।

मसअ्ला :– एक ही बार हाथ मार कर मुँह और हाथों पर मसह़ कर लिया तो तयम्मुम न हुआ। हाँ अगर एक हाथ से सारे मुँह का का मसह़ किया और दूसरे से एक हाथ का और एक हाथ जो बच रहा है उसके लिए फिर हाथ मारा और उस पर मसह़ कर लिया तो हो गया मगर सुन्नत के ख़िलाफ़ है।

मसअ्ला :– जिस आदमी के दोनों हाथ या एक पहुँचे से कटा हो तो कुहनियों तक जितना बाक़ी रह गया उस पर मसह़ करे और अगर कुहनियों से ऊपर तक कट गया तो उसे बाक़ी हाथ पर मसह़ करने कि ज़रूरत नहीं फिर भी अगर उस जगह पर जहाँ से कट गया है मसह़ कर ले तो बेहतर है।

मसअ्ला :– कोई लुंजा है या उसके दोनों हाथ कटे हैं और कोई ऐसा नहीं जो उसे तयम्मुम करा दे तो वह अपने हाथ और गाल जहाँ तक मुमकिन हो सके ज़मीन या दीवार से मस करे यानी छुआ कर नमाज़ पढ़े मगर वह ऐसी हालत में इमामत नहीं कर सकता। हाँ अगर उस जैसा कोई और भी है तो वह उसकी इमामत कर सकता है।

मसअ्ला :– तयम्मुम के इरादे से ज़मीन पर लोटा और मुँह और हाथों पर जहाँ तक जरूरी है हर ज़र्रे पर गर्द लग गई तो तयम्मुम हो गया वर्ना नहीं और इस सूरत में मुँह और हाथों पर हाथ फेर लेना चाहिए।

तयम्मुम की सुन्नतें

तयम्मुम की सुन्नतें यह हैं :–

1.बिस्मिल्लाह कहना। 2.हाथों को ज़मीन पर मारना। 3.उंगलियाँ खुली हुई रखना। 4.हाथों को झाड़ लेना यानी एक हाथ के अँगूठे की जड़ को दूसरे हाथ के अँगूठे की जड़ पर मारना इस तरह कि ताली की तरह आवाज़ न निकले।

5. ज़मीन पर हाथ मार कर लौट देना। 6. पहले मुँह फिर हाथ का मसह करना। 7. दोनों का मसह पै दर पै होना। 8. पहले दाहिने हाथ फिर बायें हाथ का मसह करना। 9. दाढ़ी का ख़्याल करना। 10. उंगलियों का ख़िलाल करना जब कि गुबार पहुँच गया हो और अगर गुबार न पहुँचा जैसे पत्थर वग़ैरा किसी ऐसी चीज़ पर हाथ मारा जिस पर गुबार न हो तो ख़िलाल फ़र्ज़ है।

हाथों के मसह में अच्छा तरीक़ा यह है कि बायें हाथ के अँगूठे के अलावा चार उंगलियों का पेट दाहिने हाथ की पीठ पर रखे और उंगलियों के सरों से कुहनी तक ले जाये और फिर वहाँ से बायें हाथ की हथेली से दाहिने पेट को छूता गट्टे तक लाये। और बायें अँगूठे के पेट से दाहिने अँगूठे की पीठ को मसह करे ऐसे ही दाहिने हाथ से बायें का मसह करे और एक दम से पूरी हथेली और उंगलियों से मसह कर लिया तो तयम्मुम हो गया चाहे कुहनी से उंगलियों की तरफ़ लाया या उंगलियों से कुहनी की तरफ़ ले गया मगर पहली सूरत में सुन्नत के ख़िलाफ़ हुआ।

मसअ्ला :– अगर मसह करने में सिर्फ़ तीन उंगलियाँ काम में लाया जब भी हो गया और अगर एक या दो से मसह किया तो तयम्मुम नहीं होगा अगर्चे तमाम उ़ज़्व पर उनको फेर लिया हो।

मसअ्ला :– तयम्मुम होते हुए दोबारा तयम्मुम न करे।

मसअ्ला :– ख़िलाल के लिये ज़मीन पर हाथ मारना ज़रूरी नहीं।

किस चीज़ से तयम्मुम जाइज़ है और किस से नहीं

मसअ्ला :– तयम्मुम उसी चीज़ से हो सकता है जो जिन्से ज़मीन (यानी ज़मीन की क़िस्म) से हो और जो चीज़ ज़मीन की जिन्स से नहीं उससे तयम्मुम जाइज़ नहीं।

मसअ्ला :– जिस मिट्टी से तयम्मुम किया जाये उसका पाक होना ज़रूरी है यानी न उस पर किसी नजासत का असर हो न यह हो कि महज़ सूख जाने से नजासत का असर जाता रहा हो।

मसअ्ला :– किसी चीज़ पर नजासत गिरी और सूख गई उस से तयम्मुम नहीं कर सकते अगर्चे नजासत का असर बाक़ी न हो अलबत्ता उस पर नमाज़ पढ़ सकते हैं।

मसअ्ला :– यह वहम कि कभी नजिस हुई होगी फ़ुज़ूल है उसका एअ्तेबार नहीं।

मसअ्ला :– जो चीज़ आग से जल कर न राख होती है,न पिघलती है,न नर्म होती है वह ज़मीन की जिन्स से है उससे तयम्मुम जाइज़ है जैसे रेता, चूना सुर्मा ,हड़ताल, गन्धक, मुर्दासंग, गेरू, पत्थर ज़बरजद, फ़ीरोज़ा,अक़ीक़ और ज़मर्रद वग़ैरा जवाहिरात से तयम्मुम जाइज़ है अगर्चे उन पर गुबार न हो।

मसअ्ला :– पक्की ईंट चीनी या मिट्टी के बर्तन से जिस चीज़ पर किसी ऐसी चीज़ की रंगत हो जो ज़मीन के जिन्स से हो जैसे गेरू,खरिया मिट्टी या वह चीज़ जिस की रंगत ज़मीन के जिन्स से तो नहीं मगर बर्तन पर उसका जिर्म (कण) न हो तो इन दोनों सूरतों में उससे तयम्मुम जाइज़ है और अगर ज़मीन के जिन्स से न हो और उसका जिर्म बर्तन पर हो तो जाइज़ नहीं।

मसअ्ला :– शोरा जो अभी पानी में डाल कर साफ़ नहीं किया गया उस से तयम्मुम जाइज़ है वरना नहीं।

मसअला :– जो नमक पानी से बनता है उससे तयम्मुम जाइज़ नहीं और जो कान से निकलता है जैसे सेंधा नमक तो उस से जाइज़ है।

मसअ्ला :– जो चीज़ आग से जल कर राख हो जाती हो जैसे लकड़ी,घास आदि या पिघल जाती हो या नर्म हो जाती हो जैसे चाँदी,सोना, ताँबा, पीतल,लोहा वग़ैरा धातें,वह ज़मीन की जिन्स से नहीं उससे तयम्मुम जाइज़ नहीं, हाँ यह धातें अगर कान से निकाल कर पिघलाई न गई कि उन पर मिट्टी के ज़र्रे अभी बाक़ी हैं तो उनसे तयम्मुम जाइज़ है और अगर पिघलाकर साफ़ कर ली गईं और उन पर इतना गुबार बाक़ी है कि हाथ मारने से उसका असर हाथ में ज़ाहिर होता है उस गुबार से तयम्मुम जाइज़ है वर्ना नहीं।

मसअ्ला :– ग़ल्ला गेहूँ, जौ वग़ैरा और लकड़ी या घास और शीशे पर गुबार हो तो उस गुबार से तयम्मुम जाइज़ है जबकि इतना हो कि हाथ में लग जाता हो वर्ना नहीं और मुश्क,अम्बर,,काफ़ूर और लोबान से तयम्मुम जाइज़ नहीं।

मसअ्ला :– मोती, सीप और घोंगे से तयम्मुम जाइज़ नहीं अगर्चे पिसे हों और इन चीजों के चूने से भी तयम्मुम नाजाइज़ है।

मसअ्ला :– राख, सोने,चाँदी और फ़ौलाद वग़ैरा के कुश्तों से भी तयम्मुम जाइज़ नहीं।

मसअ्ला :– ज़मीन या पत्थर जल कर स्याह हो जायें तो उससे तयम्मुम जाइज़ है।

मसअ्ला :– अगर ख़ाक में राख मिल जाये और ख़ाक ज़्यादा हो तो तयम्मुम जाइज़ है वर्ना नहीं।

मसअ्ला :– पीले, लाल,हरे और काले रंग की मिट्टी से तयम्मुम जाइज़ है मगर जब रंग छूट कर हाथ मुँह को रंगीन कर दे तो बिना सख़्त ज़रूरत के उससे तयम्मुम करना जाइज़ नहीं और अगर कर लिया तो हो गया और भीगी मिट्टी से तयम्मुम जाइज़ है जब कि मिट्टी ज़्यादा हो।

मसअ्ला :– मुसाफ़िर का ऐसी जगह पर गुज़र हुआ कि सब तरफ कीचड़ ही कीचड़ है और उसे पानी नहीं मिलता कि वुज़ू या गुस्ल कर सके और कपड़े में भी गुबार नहीं तो उसे चाहिये कि कपड़ा कीचड़ से सानकर सुखा ले और उससे तयम्मुम करे और वक़्त जा रहा हो तो मजबूरी को कीचड़ ही से तयम्मम कर ले जबकि मिट्टी ग़ालिब हो यानी मिट्टी ज़्यादा हो।

मसअ्ला :– गद्दे और दरी वग़ैरा में गुबार है तो उससे तयम्मुम कर सकता है अगर्चे वहाँ मिट्टी

मौजूद हो जब कि गुबार इतना हो कि हाथ फेरने से उंगलियों का निशान बन जाये।
मसअला :– नजिस कपड़े में गुबार हो उससे तयम्मुम जाइज़ नहीं हाँ अगर उसके सूखने के बाद गुबार पड़ा तो जाइज़ है।
मसअला :– मकान बनाने या गिराने में या किसी और सूरत से मुँह और हाथों पर गर्द पड़ी और तयम्मुम की नियत से मुँह और हाथों पर मसह कर लिया तो तयम्मुम हो गया।
मसअला :– गच की दीवार पर तयम्मुम जाइज़ है।
मसअला :– बनावटी मुर्दासंग से तयम्मुम जाइज़ नहीं और मूँगे और उसकी राख से तयम्मुम जाइज़ नहीं।
मसअला :– जिस जगह से एक ने तयम्मुम किया दूसरा भी उसी जगह से तयम्मुम कर सकता है और यह जो मशहूर है कि मस्जिद की दीवार या ज़मीन से तयम्मुम नाजाइज़ या मकरूह है यह ग़लत है।
मसअला :– तयम्मुम के लिये हाथ ज़मीन पर मारा और मसह से पहले ही तयम्मुम टूटने का कोई सबब पाया गया तो उससे तयम्मुम नहीं कर सकता।

तयम्मुम किन चीजों से टूटता है

जिन चीजों से वुज़ू टूटता है या गुस्ल वाजिब होता है उस से तयम्मुम भी जाता रहेगा और अलावा उनके पानी पर क़ादिर होने से भी तयम्मुम टूट जायेगा।
मसअला :– मरीज़ ने गुस्ल का तयम्मुम किया था और अब इतना तन्दुरुस्त हो गया कि नहाने से नुक़सान न पहुँचेगा तो ऐसी हालत में तयम्मुम टूट जायेगा।
मसअला :– किसी ने गुस्ल और वुज़ू दोनों के लिये एक ही तयम्मुम किया था फिर वुज़ू तोड़ने वाली कोई चीज़ पाई गई या इतना पानी पाया जिससे सिर्फ़ वुज़ू कर सकता है या बीमार था और अब इतना तन्दुरुस्त हो गया कि वुज़ू नुक़सान न करेगा और गुस्ल से नुक़सान होगा तो सिर्फ़ वुज़ू के हक़ में तयम्मुम जाता रहा और गुस्ल के हक़ में बाक़ी रहेगा।
मसअला :– जिस हालत में तयम्मुम नाजाइज़ था अगर वह हालत तयम्मुम के बाद पाई गई तो तयम्मुम टूट जायेगा जैसे तयम्मुम वाले का ऐसी जगह गुज़र हुआ कि वहाँ से एक मील के अन्दर पानी है तो तयम्मुम जाता रहेगा यह ज़रूरी नहीं कि वह पानी के पास ही पहुँच जाये।
मसअला :– इतना पानी मिला कि वुज़ू के लिये काफ़ी नहीं यानी एक बार मुँह और एक–एक बार दोनों हाथ पाँव नहीं धो सकता है तो तयम्मुम नहीं टूटा और अगर एक–एक बार धो सकता है तो तयम्मुम जाता रहा ऐसे ही गुस्ल के तयम्मुम करने वालों को इतना पानी मिला जिस से गुस्ल नहीं हो सकता तो तयम्मुम नहीं गया।
मसअला :– अगर कोई आदमी ऐसी जगह गुज़रा कि वहाँ से पानी क़रीब है मगर पानी के पास शेर,साँप या दुश्मन है जिससे जान माल या इज़्ज़त का वाक़ई ख़तरा है या क़ाफ़िला इन्तेज़ार न करेगा और नज़रों से ग़ायब हो जायेगा या सवारी से उतर नहीं सकता जैसे रेल या घोड़ा कि उसके रोकने से नहीं रुकता या घोड़ा ऐसा है कि उतरने तो देगा मगर फिर चढ़ने न देगा या यह इतना कमज़ोर है कि फिर चढ़ न सकेगा या कुँए में पानी है मगर उसके पास डोल रस्सी नहीं तो

इन सब सूरतों में तयम्मुम नहीं टूटा।

मसअ्ला :– अगर कोई पानी के पास से सोता हुआ गुज़रा तो तयम्मुम नहीं टुटा हाँ अगर तयम्मुम वुज़ू का था और नीन्द उस की हद है जिस से वुज़ू जाता रहे तो बेशक तयम्मुम जाता रहा मगर इस वजह से नहीं कि पानी पर गुज़रा बल्कि सो जाने से और अगर ओंघता हुआ पानी पर गुज़रा और पानी की जानकारी उसे हो गई तो तयम्मुम टुट गया वरना नहीं।

मसअ्ला– अगर कोई पानी के क़रीब से गुज़रा और उसे अपना तयम्मुम याद नहीं जब भी तयम्मुम जाता रहा।

मसअ्ला :– अगर किसी ने नमाज़ पढ़ते में गधे या खच्चर का झूठा पानी देखा तो नमाज़ पूरी करे फिर उससे वुज़ू करे फिर तयम्मुम करे और नमाज़ लौटाये।

मअस्ला :– अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा था और उसे दूर से रेता चमकता हुआ दिखाई दिया और उसे पानी समझकर एक क़दम भी चला फिर पता चला कि रेता है नमाज़ फ़ासिद हो गई मगर तयम्मुम न गया।

मसअ्ला :– कुछ लोग तयम्मुम किये हुए थे कि किसी ने उनके पास एक वुज़ू के लाइक़ पानी लाकर कहा कि जिसका ज़ी चाहे उस से वुज़ू कर ले तो सबका तयम्मुम जाता रहेगा और अगर वह सब नमाज़ में थे तो नमाज भी सब की जाती रही अगर यह कहा कि तुम सब इस से वुज़ू कर लो तो किसी का भी तयम्मुम न टूटेगा ऐसे ही अगर यह कहा कि मैंने तुम सबको इसका मालिक किया जब भी तयम्मुम न गया

मसअ्ला :– पानी न मिलने की वजह से तयम्मुम किया था अब पानी मिला तो ऐसा बीमार हो गया कि पानी नुक़सान करेगा तो पहला तयम्मुम जाता रहा और अब बीमारी की वजह से फिर तयम्मुम करे ऐसे ही बीमारी की वजह से तयम्मुम किया अब अच्छा हुआ तो पानी नहीं मिलता जब भी नया तयम्मुम करे।

मसअ्ला :– किसी ने गुस्ल किया मगर थोड़ा सा बदन सूखा रह गया यानी उस पर पानी न बहा और पानी भी नहीं कि उससे धो ले अब गुस्ल का तयम्मुम किया फिर बेवुज़ू हुआ और वुज़ू का भी तयम्मुम किया फिर उसे इतना पानी मिला कि वुज़ू भी कर ले और वह सूखी जगह भी धो ले तो वुज़ू और गुस्ल दोनों के तयम्मुम जाते रहे और अगर इतना पानी मिला कि न उससे वुज़ू हो सकता है न वह जगह धुल सकती है तो दोनों तयम्मुम बाक़ी रहेंगे और उस पानी को उस ख़ुश्क हिस्से के धोने में ख़र्च करे जितना धुल सके और अगर इतना मिला कि वुज़ू हो सकता है और ख़ुश्की के लिए काफ़ी नहीं तो वुज़ू का तयम्मुम जाता रहा उस से वुज़ू करे और अगर सिर्फ़ ख़ुश्क हिस्से को धो सकता है और वुज़ू नहीं कर सकता तो गुस्ल का तयम्मुम जाता रहा और वुज़ू का बाक़ी है उस पानी को उसके धोने में ख़र्च करे और अगर एक कर सकता है चाहे वुज़ू कर ले चाहे उसे धो ले तो गुस्ल का तयम्मुम जाता रहा उससे उस जगह को धो ले और वुज़ू का तयम्मुम बाक़ी है।

मोज़ों पर मसह का बयान

हदीस न.1 :– इमाम अहमद व अबू दाऊद ने मुग़ीरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की वह फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहिवसल्लम ने मोज़ों पर मसह किया मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हुजूर भूल गए। फ़रमाया बल्कि तू भूला मेरे रब ने इसी का हुक्म दिया है।

हदीस न.2 :– दारे कुतनी ने अबूबक रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुसफ़िर को तीन दिन तीन रातें और मुक़ीम को एक दिन एक रात मोज़ों पर मसह करने की इजाज़त दी जब कि तहारत के साथ पहने हों।

हदीस न.3 :– तिर्मिज़ी और नसई सफ़वान इब्ने अस्साल रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि जब हम मुसाफ़िर होते तो हुजूर अलैहिस्सलाम हुक्म फ़रमाते कि तीन दिन और तीन रातें हम मोज़े न उतारें मगर जिस पर नहाना फ़र्ज़ हो वह ज़रूर उतार दे लेकिन पाख़ाना पेशाब और सोने के बाद न उतारे।

हदीस न.4 :– अबू दाऊद ने रिवायत की कि हज़रते अली रदियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि दीन अगर अपनी राय से होता तो मोज़े का तला ऊपर की निस्बत के मसह में बेहतर होता।(यानी बजाए ऊपर के नीचे से मसह करते। यहाँ अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म यूँही है।)

हदीस न.5 :– अबू दाऊद और तिमिज़ी रिवायात करते हैं कि मुग़ीरा इब्ने शोअ्बा रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्ला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा कि मोज़ों की पुश्त पर मसह फ़रमाते।

मोज़ों पर मसह के मसाइल

जो शख़्स मोज़ा पहने हुये हो वह अगर वुज़ू में पाँव धोने के बजाये मसह करे तो जाइज़ है और पाँव धोना बेहतर है मगर शर्त यह है कि मसह जाइज़ समझे और मसह के जाइज़ होने में बहुत हदीसें हैं जो तवातुर के क़रीब हैं इसी लिये इसमें कर्ख़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फ़रमाते हैं कि जो मसह को जाइज़ न जाने उसके काफ़िर हो जाने का अन्देशा है। इमाम शैख़ुल इस्लाम फ़रमाते हैं कि जो इसे जाइज़ न माने गुमराह है। हमारे इमामे आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु से अहले सुन्नत व जमाअत की अलामत पूछी गई तो उन्होंने फ़रमाया कि :–

تَفْضِيلُ الشَّيْخَيْنِ وَ حُبُّ الْخَتَنَيْنِ وَ مَسْحُ الْخُفَّيْنِ

यानी हज़रत अमीरुल मोमिनीन अबूबक सिद्दीक़ और अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़े आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हुमा को तमाम सहाबा से बुज़ुर्ग जानना और अमीरुल मोमिनीन उसमाने ग़नी और अमीरुल मोमिनीन हज़रते अली रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से महब्बत रखना और मोज़ों पर मसह करना। इन तीन बातों की तख़सीस इस लिए फ़रमाई कि हज़रत कूफ़े में थे औा वहाँ राफ़िज़ियों की कसरत थी तो वही अलामत इरशाद फ़रमाई जो उनका रद हैं। इस रिवायत के यह मअ्ना नहीं कि सिर्फ़ इन तीन बातों का पाया जाना सुन्नी होने के लिए काफ़ी है अलामत शय में पाई जाती है और शय लाज़िमे अलामत नहीं होती जैसे बुख़ारी शरीफ़ की हदीस में वहाबियों की अलामत बताई गई है और वह यह है। سِيْمَاهُمُ التَّحْلِيْقُ(उनकी अलामत सर मुंडाना है।)इसका

यह मतलब नहीं कि सर मुंडाना ही वहाबी होने के लिए काफ़ी है।

और इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाहि तआला अलैह फ़रमाते हैं कि मेरे दिल में मोज़े पर मसह के जाइज़ होने पर कुछ शक नहीं कि इस में चालीस सहाबा से मुझको हदीसें पहुँचीं।

मसअ्ला :– जिस पर नहाना फ़र्ज़ है वह मोज़ों पर मसह नहीं कर सकता।

मसअ्ला :– औरतें भी मसह कर सकती हैं।

मसह करने के लिए कुछ शर्तें है।

1. मोज़े ऐसे हों कि टख़ने छुप जायें इससे ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं और अगर दो एक उंगल कम हों जब भी मसह दुरुस्त है एड़ी खुली हुई न हो।
2. मोज़ा पाँव से चिपटा हो कि उसको पहन कर आसानी के साथ खुब चल फ़िर सकें।
3. मोज़ा चमड़े का हो या सिर्फ़ तला चमड़े का और बाक़ी किसी और मोटी चीज़ का जैसे किरमिच वग़ैरा।

मसअ्ला :– हिन्दुस्तान में आम तौर पर जो सूती या ऊनी मोज़े पहने जाते हैं उन पर मसह जाइज़ नहीं,उनको उतार कर पाँव धोना फ़र्ज़ है।

4. मोज़ा वुज़ू करके पहना हो यानी पहनने के बाद और हदस से पहले एक ऐसा वक़्त हो कि उस वक़्त में वह शख़्स बा–वुज़ू हो ख़्वाह पूरा वुज़ू कर के पहने या सिर्फ़ पाँव धोकर पहने और बाद में वुज़ू पूरा कर ले।

मसअ्ला :– अगर पाँव धोकर मोज़े पहन लिये और हदस से पहले मुँह हाथ धो लिया और सर का मसह कर लिया तो भी मसह जाइज़ है और अगर सिर्फ़ पाँव धोकर पहने और पहनने के बाद वुज़ू पूरा किया और हदस हो गया तो अब वुज़ू करते वक़्त मसह जाइज़ नहीं।

मसअ्ला :–बे–वुज़ू मोज़ा पहन कर पानी में चला कि पाँव धुल गये अब अगर हदस से पहले वुज़ू के दूसरे उ़ज़्व धो लिये और सर का मसह कर लिया तो मसह जाइज़ है वर्ना नहीं।

मसअ्ला :– वुज़ू करके एक ही पाँव में मोज़ा पहना और दूसरा न पहना यहाँ तक कि हदस हुआ तो उस एक पर भी मसह जाइज़ नहीं दोनों पाँव का धोना फ़र्ज़ है।

मसअ्ला :– तयम्मुम करके मोज़े पहने गये तो मसह जाइज़ नहीं।

मसअ्ला :– माज़ूर को सिर्फ़ उस एक वक़्त के अन्दर मसह जाइज़ है जिस वक़्त में पहना हो। हाँ अगर पहनने के बाद और हदस से पहले उ़ज़्र जाता रहा तो उसके लिये वह मुद्दत है जो तन्दुरुस्त के लिए है।

5. जनाबत की हालत में मोज़े न पहने हों और न पहनने के बाद जुनुबी हुआ हो।

मसअ्ला :– जुनुबी ने जनाबत का तयम्मुम किया और वुज़ू कर के मोज़ा, पहना, तो मसह कर सकता है मगर जब जनाबत का तयम्मुम जाता रहे तो अब मसह जाइज़ नहीं।

मसअ्ला :– जुनुबी ने गुस्ल किया मगर थोड़ा सा बदन खुश्क रह गया और मौज़े पहन लिये और हदस से पहले उस जगह को धो डाला तो मसह जाइज़ है और अगर वह जगह वुज़ू के उ़ज़्व में धोने से रह गई थी और धोने से पहले हदस हुआ तो मसह जाइज़ नहीं।

6. मोज़ों पर मसह मुद्दत के अन्दर हो और उसकी मुद्दत मुक़ीम के लिये एक दिन और एक रात

और मुसाफ़िर के लिए तीन दिन और तीन रातें हैं।

मसअला :– मोज़ा पहनने के बाद पहली बार जो हदस हुआ उस वक़्त से उसका शुमार है जैसे सुबह के वक़्त मोज़ा पहना और ज़ोहर के वक़्त पहली बार हदस हुआ तो मुक़ीम दूसरे दिन की ज़ोहर तक मसह करे और मुसाफ़िर चौथे दिन की ज़ोहर तक।

मसअला :– मुक़ीम को एक दिन एक रात पूरा न हुआ था कि सफ़र किया तो अब हदस की शुरूआत से तीन दिन तीन रातों तक मसह कर सकता है और मुसाफ़िर ने इक़ामत की नियत कर ली तो अगर एक दिन रात पूरा कर चुका है तो मसह जाता रहा और पाँव धोना फ़र्ज़ हो गया और नमाज़ में था तो नमाज़ जाती रही और अगर चौबीस घन्टे पूरे न हुए तो जितना बाक़ी है पूरा कर ले।

7. कोई मोज़ा पाँव की छोटी तीन उंगलियों के बराबर फटा न हो यानी चलने में तीन उंगल बदन न ज़ाहिर होता हो और अगर तीन उंगल फटा हो और बदन तीन उंगल से कम दिखाई देता है तो मसह जाइज़ है और अगर दोनों तीन–तीन उंगल से कम फटे हों और सब का जोड़ तीन उंगल या ज़्यादा है तो भी मसह हो सकता है। सिलाई खुल जाये जब भी यही हुक्म है कि हर एक में तीन उंगल से कम है तो जाइज़ है नहीं तो नहीं।

मसअला :– मोज़ा फट गया या सिलाई खुल गई और वह पहने रहने की हालत में तीन उंगल पाँव ज़ाहिर नहीं होता मगर चलने में तीन उंगल दिखाई दे तो उस पर मसह जाइज़ नहीं।

मसअला :– ऐसी जगह फटा या सिलाई खुली कि उंगलिया खुद दिखाई दें तो छोटी बड़ी का एअ़तेबार नहीं बल्कि तीन उंगलियाँ ज़ाहिर हों तो मसह टुट जाएगा।

मसअला :– एक मोज़ा चन्द जगह कम से कम इतना फट गया हो कि उसमें सुतली (चमड़ा सोना के औज़ार) जा सके और उन सब का जोड़ तीन उंगल से कम है तो मसह जाइज़ है वर्ना नहीं और टख़ने के ऊपर कितना ही फटा हो उसका एअ़तिबार नहीं।

मसअला :– मसह का तरीक़ा यह है कि दाहिने हाथ की तीन उंगलियाँ दाहिने पाँव की पुश्त के सिरे और बायें हाथ की उंगलियाँ बायें पाँव की पुश्त के सिरे पर रखकर पिन्डली की तरफ़ कम से कम तीन उंगल की मिक़दार खींच ली जायें और सुन्नत यह है कि पिंडली तक पहुँचायें।

मसअला :– उंगलीयों का तर होना ज़रूरी है हाथ धोने के बाद जो तरी बाक़ी रह गई उससे मसह जाइज़ है और सर का मसह किया और अभी हाथ में तरी मौजूद है तो यह काफ़ी नहीं बल्कि फिर नये पानी से हाथ तर कर ले कुछ हिस्सा हथेली का भी शामिल हो तो हर्ज नहीं।

मसह में फ़र्ज़ दो हैं :–

1 .हर मोज़े का मसह हाथ की छोटी तीन उंगलियों के बराबर होना ।

2 .मसह मोज़े की पीठ पर होना।

मसअला :– एक पाँव का मसह दो उंगल के मिक़दार किया और दूसरे का चार उंगल तो मसह नहीं हुआ।

मसअला :– मोज़े के तली या करवटों या टख़ने या पिडंली या एड़ी पर मसह किया तो मसह नहीं हुआ।

मसअला :– पूरी तीन उंगलियों के पेट से मसह करना और पिंडली तक खींचना और मसह करते

वक़्त उंगलियाँ खुली रखना सुन्नत है।

मसअला :– अगर उंगलियों की पीठ से मसह किया या पिन्डली की तरफ़ से उंगलियों की तरफ़ खींचा या मोज़े की चौड़ाई का मसह किया या उंगलियाँ मिली हुई रखीं या हथेली से मसह किया तो इन सब सूरतो में मसह तो हो गया लेकिन सुन्नत के ख़िलाफ़ हुआ।

मसअला :– अगर एक ही उंगली से तीन बार नये पानी से हर मर्तबा तर कर के तीन जगह मसह किया जब भी हो गया मगर सुन्नत अदा न हुई और अगर एक ही जगह मसह हर बार किया या हर बार तर न किया तो मसह न हुआ।

मसअला :– उंगलियों की नोक से मसह किया तो अगर उन में इतना पानी है कि तीन उंगल तक बराबर टपकता रहा तो मसह हुआ वर्ना नहीं।

मसअला :– मोज़े की नोक के पास कुछ जगह खाली है कि वहाँ पाँव का कोई हिस्सा नहीं,उस ख़ाली जगह का मसह किया तो मसह न हुआ और अगर किसी तरह एहतियात के साथ उंगलियाँ पहुँचा दीं और अब मसह किया तो हो गया मगर जब वहाँ से पाँव हटेगा तो फ़ौरन मसह जाता रहेगा।

मसअला :– मसह में न नियत ज़रूरी है और न तीन बार करना सुन्नत बल्कि एक बार कर लेना काफ़ी है।

मसअला :– मौज़े पर पाइताबा पहना और उस पाइताबे पर मसह किया तो अगर मौज़े तक तरी पहुँच गई मसह हो गया वरना नहीं।

मसअला :– मोज़े पहन कर शबनम में चला या उस पर पानी गिर गया या मेंह की बूँदे गिरीं और जिस जगह मसह किया जाता है तीन उंगल के बराबर तर हो गया तो मसह हो गया हाथ फ़ेरने की भी ज़रूरत नहीं।

मसअला :– अंग्रेज़ी बूट, जूते पर मसह जाइज़ है मगर शर्त यह कि टख़्ने उससे छुपे हों। इमामा, नक़ाब और दस्ताने पर मसह जाइज़ नहीं।

मसह किन चीज़ों से टूटता है

मसअला :– जिन चीज़ों से वुज़ू टुटता है उनसे मसह भी जाता रहता है।

मसअला :– मुद्दत पूरी हो जाने से मसह जाता रहता है और इस सूरत में अगर वुज़ू है तो सिर्फ़ पाँव धो लेना काफ़ी है फिर से पूरा वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं और अच्छा यह है कि पूरा वुज़ू कर ले।

मसअला :– मसह की मुद्दत पूरी हो गई और क़वी अन्देशा है कि मौज़े उतारने में सर्दी के सबब पाँव जाते रहेंगे तो न उतारे और टख़्नों तक पूरे मौज़े का (नीचे, ऊपर अग़ल बग़ल और एड़ियों पर) मसह करे कि कुछ न रह जाये।

मसअला :– मोज़े उतार देने से मसह टूट जाता है अगर्चे एक ही उतारा हो।

मसअला :– ऐसे ही अगर एक पाँव आधे से ज़्यादा मोज़े से बाहर हो जाये तो मसह जाता रहता है। मोज़ा उतारने या पाँव का ज़्यादा हिस्सा बाहर होने में पाँव का वह हिस्सा मोतबर है जो गट्टों से पंजों तक है और पिंडली का एअ्तेबार नहीं इन दोनों सूरतों में पाँव का धोना फ़र्ज़ है।

मसअला :– मोज़ा ढीला है कि चलने से एड़ी निकल जाती है तो मसह नहीं जाता हाँ अगर उतारने की नियत से बाहर की तो टूट जाता है।

मसअला :– मोज़े पहन कर पानी म चला कि एक पाँव का आधे से ज़्यादा हिस्सा धुल गया या और किसी तरह से मोज़े में पानी चला गया और आधे से ज़्यादा पाँव धुल गया तो मसह जाता रहा।

मसअला :– पायताबों पर इस तरह मसह किया कि मसह की तरी मोज़ों तक पहुँची तो पायताबों के उतारने से मसह नहीं जायेगा।

वुज़ू के अअ्ज़ा पर मसह करने के मसाइल

मसअला :– वुज़ू के आज़ा अगर फट गये हों या उनमें फोड़ा या और कोई बीमारी हो और उन पर पानी बहाना नुक़सान करता हो या सख़्त तकलीफ़ होती हो तो भीगा हाथ फेर लेना काफ़ी है और अगर यह भी नुक़सान करता हो तो उस पर कपड़ा डालकर कपड़े पर मसह करे और अगर इससे भी तकलीफ़ है तो माफ़ है और अगर उसमें कोई दवा भर ली हो तो उसका निकालना ज़रूरी नहीं बल्कि उस पर से पानी बहा देना काफ़ी है।

मसअला :– किसी फोड़े या ज़ख़्म या फ़स्द की जगह पर पट्टी बाँधी हो कि उसको खोल कर पानी बहाने से या उस जगह मसह करने से या खोलने से नुक़सान हो या खोलने वाला बाँधने वाला न हो तो उस पट्टी पर मसह कर ले और अगर पट्टी खोल कर पानी बहाने में नुक़सान न हो तो धोना ज़रूरी है या खुद उज़्व पर मसह कर सकते हों तो पट्टी पर मसह करना जाइज़ नहीं और अगर ज़ख़्म के आस पास पानी बहाना नुक़सान न करता हो तो धोना ज़रूरी है नहीं तो उस पर मसह कर लें और पूरी पट्टी पर मसह कर लें तो अच्छा है और अक्सर हिस्से पर ज़रूरी है और एक बार मसह काफ़ी है तकरार की ज़रूरीत नहीं और अगर पट्टी पर भी मसह न कर सकते हों तो ख़ाली छोड़ दें जब इतना आराम हो जाये कि पट्टी पर मसह करना नुक़सान न करे तो फ़ौरन मसह कर लें फिर जब इतना आराम हो जाये कि पट्टी पर से पानी बहाने में नुक़सान न हो तो पानी बहायें फिर जब इतना आराम हो जाये कि ख़ास उज़्व पर मसह कर सकता हो तो फ़ौरन पट्टी खोल कर मसह कर ले फिर जब इतनी सेहत हो जाये कि उज़्व पर पानी बहा सकता हो तो पट्टी खोल कर पानी बहाये। ग़र्ज़ आला पर जब कुदरत हासिल हों और जितनी हासिल होती जाये अदना पर इक्तिफ़ा जाइज़ नहीं यानी अगर पानी बहाने लाइक़ ज़ख़्म ठीक हो जाए तो पानी बहाए मसह जाइज़ नहीं।

मसअला :– हड्डी के टूट जाने से तख़्ती बाँधी गई हो तो उसका भी यही हुक्म है।

मसअला :– तख़्ती या पट्टी खुल जाये और अभी बाँधने की ज़रूरत हो तो फिर दोबारा मसह नहीं किया जायेगा बल्कि वही पहला मसह काफ़ी है और जो फिर बाँधने की ज़रूरत न हो तो मसह टूट गया अब उस जगह को धो सके तो धो लें नहीं तो मसह कर लें।

हैज़ का बयान

अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है :–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ۝

तर्जमा :– "ऐ महबूब तुमसे हैज़ के बारे में लोग सवाल करते हैं तुम फ़रमा दो वह गन्दी चीज़ है,तो हैज़ में औरतों से बचो और उनसे क़ुर्बत(हमबिस्तरी) न करो जब तक पाक न हो लें,तो जब पाक हो जायें उनके पास उस जगह से आओ जिसका अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया बेशक अल्लाह दोस्त रखता है तौबा करने वालों को और दोस्त रखता है पाक होने वालों को।"

हदीस न.1 :– सहीह मुस्लिम में अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है फ़रमाते हैं कि यहूदियों में जब किसी औरत को हैज़(माहवरी) आता तो उसे न अपने साथ खिलाते और न अपने साथ घरों में रखते। सहाबा ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा उस पर अल्लाह तआला ने وَيَسْـئَـلُـوْنَكَ عَـنِ الْـمَـحِيْـضِ नाज़िल फरमाई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जिमा (हमबिस्तरी) के सिवा हर चीज़ करो। इस की ख़बर यहूदियों को पहुँची तो कहने लगे यह(नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम)हमारी हर बात के खिलाफ़ करना चाहते हैं। उस पर उसैद इब्ने हुज़ैर और इबाद इब्ने बिश्र रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने आकर अर्ज़ की कि यहूदी ऐसा ऐसा कहते हैं तो क्या हम उनसे जिमा न करें (कि पूरी मुख़ालफ़त हो जाये) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा बदल गया यहाँ तक कि हमको गुमान हुआ कि हुज़ूर ने उन दोनों पर ग़ज़ब फ़रमाया। वह दोनों चले गये उनके पीछे दूध का हदिया नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आया। हुज़ूर ने आदमी भेजकर उनको बुलवाया और दूध पिलाया तो वह समझे कि हुज़ूर ने उन पर ग़ज़ब नहीं फ़रमाया था।

हदीस न. 2:– सहीह बुख़ारी में है उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं कि हम हज के लिये निकले जब सरिफ़ (मक्का शरीफ़ के क़रीब एक जगह का नाम) में पहुँचे तो मुझे हैज़ आया तो मैं रो रही थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास तशरीफ़ लाये फ़रमाया तुझे क्या हुआ, क्या तुझे हैज़ आया?अर्ज़ की, हाँ ! फ़रमाया यह एक ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह तआला ने आदम की लड़कियों के लिये लिख दिया है तू ख़ानए कअ्बा के तवाफ़ के सिवा सब कुछ अदा करे जिसे हज करने वाला अदा करता है और फ़रमाती हैं कि हुज़ूर ने अपनी बीवियों की तरफ़ से एक गाय क़ुर्बानी की।

हदीस न.3 :– बुख़ारी शरीफ़ में है कि उर्वा से सवाल किया गया क्या हैज़ वाली औरत मेरी ख़िदमत कर सकती है और क्या जुनुबी औरत मुझ से क़रीब हो सकती है ? उर्वा ने जवाब दिया यह सब मुझ पर आसान है और यह सब मेरी ख़िदमत कर सकती हैं और किसी पर उसमे कोई हर्ज नहीं। मुझे उम्मुल मोमिनीन आइशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने ख़बर दी कि यह हैज़ की हालत में हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कंघा करतीं और हुज़ूर एअ्तिकाफ़ में थे अपने सर को उनसे क़रीब कर देते और यह अपने हुजूरे (कमरे) ही में होतीं।

हदीस न.4 :– उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं कि हैज़ के ज़माने में मैं पानी पीती फिर हुज़ूर को दे देती तो जिस जगह मेरा मुँह लगा होता हुज़ूर वहीं अपना मुँह रखकर पीते और हैज़ की हालत में हड्डी से गोश्त नोच कर मैं ख़ाती फिर हुज़ूर को दे देती तो हुज़ूर अपना मुँह उस जगह रखते जहाँ मेरा मुँह लगा होता।

हदीस न.5 :— बुख़ारी और मुस्लिम में उन्हीं से रिवायत है वह फ़रमाती हैं कि मैं हैज़ की हालत में होती और हुज़ूर मेरी गोद में तकिया लगाकर क़ुर्आन पढ़ते।

हदीस न.6 :— मुस्लिम में उन्हीं से रिवायत है वह फ़रमाती हैं कि हुज़ूर ने मुझ से फ़रमाया कि हाथ बढ़ा कर मस्जिद से मुसल्ला उठा देना। मैंने अर्ज़ किया मैं हैज़ की हालत में हूँ। हुज़ूर ने फ़रमाया तेरा हैज़ तेरे हाथ में नहीं।

हदीस न.7 :— बुख़ारी और मुस्लिम में उम्मुल मोमिनीन मैमूना रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम एक चादर में नमाज़ पढ़ते थे जिसका कुछ हिस्सा मुझ पर था और कुछ हुज़ूर पर और मैं हैज़ की हालत में थी।

हदीस न.8 :— तिर्मिज़ी और इब्ने माजा अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो आदमी हैज़ वाली से या औ़रत के पीछे मुक़ाम में जिमा (हमबिस्तरी) करे या काहिन के पास जाये उसने उस चीज़ का कुफ़रान (ख़िलाफ़) किया जो मुहम्मद सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम पर उतारी गई।

हदीस न.9 :— रज़ीन की रिवायत में है कि मआ़ज़ इब्ने जबल रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह ! मेरी औ़रत जब हैज़ में हो तो मेरे लिए क्या चीज़ उस से हलाल है?फ़रमाया तहबन्द यानी नाफ़ से ऊपर और उससे भी बचना बेहतर है।

हदीस न.10 :— असहाबे सुनने अरबा ने इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब कोई शख़्स अपनी बीवी से हैज़ में जिमा करे तो आधा दीनार सदक़ा करे। तिर्मिज़ी की दूसरी रिवायत उन्हीं से यूँ है कि फ़रमाया कि जब सुर्ख़ ख़ून हो तो एक दीनार और ज़ब पीला हो तो आधा दीनार।

हैज़ की हिकमत :— बालिग़ा औ़रत के बदन में फ़ितरी तौर पर ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ख़ून पैदा होता है कि हमल की हालत में वह ख़ून बच्चे की ग़िज़ा में काम आये और बच्चे के दूध पीने के ज़माने में वही ख़ून दूध हो जाये और ऐसा न हो तो हमल और दूध पिलाने के ज़माने में उसकी जान पर बन जाये। यही व़जह है कि हमल और शीरख़्वारगी (बच्चे के दूध पीने की हालत) की इब्तिदा में ख़ून नहीं आता और जिस ज़माने में न हमल हो न दूध पिलाना वह ख़ून अगर बदन से न निकले तो क़िस्म–क़िस्म की बीमारियाँ पैदा हो जायें।

हैज़ के मसाइल

मसअ्ला:— बालिग़ा औरत के आगे के मक़ाम से जो ख़ून आ़दत के तौर पर निकलता है और बीमारी या बच्चा पैदा होने की वजह से न हो उसे **हैज़** कहते हैं, बीमारी से हो तो **इस्तिहाज़ा** और बच्चा होने के बाद हो तो **निफ़ास** कहते हैं।

मसअ्ला :— हैज़ की मुद्दत कम से कम तीन दिन तीन रातें यानी पूरे 72 घन्टे से अगर एक मिनट भी कम है तो हैज़ नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा दस दिन दस रातें हैं।

मसअ्ला :— 72 घन्टे से ज़रा भी पहले ख़त्म हो जाये तो हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है। हाँ अगर किरन चमकी थी कि हैज़ शुरू हुआ और तीन दिन तीन रातें पूरी होकर किरन चमकने ही के वक़्त

ख़त्म हुआ तो हैज़ है अगर्चे दिन बढ़ने के ज़माने में तुलुअ़ रोज़ बरोज़ पहले और गुरूब बाद को होता रहेगा और दिन छोटे होने के ज़माने में आफ़ताब का निकलना बाद को और डूबना पहले होता रहेगा जिसकी वजह से उन तीन दिन रात की मिक़दार 72 घन्टा होना ज़रूरी नहीं मगर ठीक तुलूअ़ से तुलूअ़ गुरूब से गुरूब तक ज़रूरी एक दिन एक रात है उनके अलावा अगर और किसी वक़्त शुरू हुआ तो वही चौबीस घन्टे पूरे का एक दिन रात लिया जायेगा। जैसे आज सुबह को ठीक नौ बजे शूरू हुआ और उस वक़्त पूरा पहर दिन चढ़ा था तो कल ठीक नौ बजे एक दिन रात होगा। अगर्चे अभी पूरे पहर भर दिन न आया जबकि आज का तुलूअ़ कल के तुलूअ़ से बाद हो या पहर भर से ज़्यादा दिन आ गया हो जबकि आज का तुलूअ़ कल के तुलूअ़ से पहले हो।

मसअ्ला :– दस दिन रात से कुछ भी ज़्यादा ख़ून आया तो अगर यह हैज पहली बार उसे आया है तो दस दिन तक हैज़ है और बाद का इस्तिहाज़ा और अगर पहले से उसे हैज़ आ चुके हैं और आदत दस दिन से कम की ही थी तो आदत से जितना ज़्यादा हो इस्तिहाज़ा है। इसे यूँ समझो कि उसको पाँच दिन की आदत थी अब आया दस दिन तो कुल हैज़ है और बारह दिन आया तो पाँच दिन हैज़ के बाक़ी सात दिन इस्तिहाज़ा के और अगर एक हालत मुक़र्रर न थी बल्कि कभी चार दिन कभी पाँच दिन तो पिछली बार जितने दिन थे वही अब भी हैज़ के हैं और बाक़ी इस्तिहाज़ा के

मसअ्ला :– यह ज़रूरी नहीं कि मुद्दत में हर वक़्त ख़ून जारी रहे तभी हैज़ हो बल्कि अगर किसी वक़्त भी आये तब भी हैज़ है।

मसअ्ला :– कम से कम नौ बरस की उ़म्र से हैज़ शुरू होगा और आख़िरी उ़म्र हैज़ आने की 55 साल है इस उ़म्र वाली औ़रत को आइसा और इस उ़म्र को सिने–अयास कहते हैं।

मसअ्ला :– नौ बरस की उ़म्र से पहले जो ख़ून आये इस्तिहाज़ा है यूँ ही पचपन साल की उ़म्र के बाद जो ख़ून आये इंस्तिहाज़ा है ,हाँ पिछली सूरत में अगर ख़ालिस़ ख़ून आये या जैसा पहले आता था उसी रंग का आया तो हैज़ है।

मसअ्ला :– ह़मल वाली के जो ख़ून आया इस्तिह़ाज़ा है,ऐसे ही बच्चा होते वक़्त जो ख़ून आया और अभी आधे से ज़्यादा बच्चा बाहर नहीं निकला, वह इस्तिह़ाज़ा है।

मसअ्ला :– दो हैज़ों के बीच कम से कम पूरे पन्द्रह दिन का फ़ासिला ज़रूरी है ऐसे ही निफ़ास और हैज़ के दरमियान भी पन्द्रह दिन का फ़ासिला ज़रूरी है तो अगर निफ़ास ख़त्म होने के बाद पन्द्रह दिन पूरे न हुये थे कि ख़ून आया तो यह इस्तिह़ाज़ा है।

मसअ्ला :– हैज़ उस वक़्त से शुमार किया जायेगा कि ख़ून फ़र्ज (शर्मगाह)से बाहर आ गया तो अगर कोई कपड़ा रख लिया है जिसकी वजह से फ़र्ज से बाहर नहीं आया और अन्दर ही रुका रहा तो जब तक कपड़ा न निकालेगी वह हैज़ वाली न होगी, नमाज़ें पढ़ेगी और रोज़ा रखेगी।

मसअ्ला :– **हैज़ के छह रंग हैं** :– 1. काला 2. पीला 3. लाल 4.हरा 5.गदला 6.मटीला और सफ़ेद रंग की रतूबत हैज़ नहीं।

मसअ्ला :– दस दिन के अन्दर रतूबत में ज़रा भी मैलापन है तो वह हैज़ है और दस दिन रात के बाद भी मैलापन बाक़ी है तो आदत वाली के लिये जो दिन आदत के हैं हैज़ हैं और आदत से बाद

वाले इस्तिहाज़ा और अगर कुछ आदत नहीं तो दस दिन रात तक हैज़ है और बाक़ी इस्तिहाज़ा है।

मसअला :– गद्दी जब तर थी तो उसमें ज़र्दी (पीलापन) या मैलापन था और सूख जाने के बाद सफ़ेद हो गई तो हैज़ की मुद्दत में हैज़ ही है और अगर जब देखा था सफ़ेद थी सूख कर पीली हो गई तो यह हैज़ नहीं।

मसअला :– जिस औरत को पहली बार ख़ून आया और उसका सिलसिला महीनों या बर्सों बराबर जारी रहा कि बीच में पन्द्रह दिन के लिये भी न रुका तो जिस दिन में ख़ून आना शुरू हुआ उस रोज़ से दस दिन तक हैज़ और बीस दिन इस्तिहाज़ा के समझे और जब तक ख़ून जारी रहे यही क़ाइदा बरते।

मसअला :– और अगर उससे पहले हैज़ आ चुका है तो उससे पहले जितने दिन हैज़ के थे हर तीस दिन में उतने दिन हैज़ के समझे बाक़ी जो दिन बचे इस्तिहाज़ा है।

मसअला :– जिस औरत को उम्र भर ख़ून आया ही नहीं या आया मगर तीन दिन से कम आया तो उम्र भर वह पाक रही और अगर एक बार तीन दिन रात ख़ून आया फ़िर कभी न आया तो वह सिर्फ़ तीन दिन रात हैज के हैं बाक़ी हमेशा के लिए पाक।

मसअला :– जिस औरत को दस दिन ख़ून आया उसके बाद साल भर तक पाक रही फ़िर बराबर ख़ून जारी रहा तो वह उस ज़माने में नमाज़ रोज़े के लिये हर महीने में दस दिन हैज़ के समझे और बीस दिन इस्तिहाज़ा के।

मसअला :– किसी औरत को एक बार हैज़ आया उसके बाद कम से कम पन्द्रह दिन तक पाक रही फिर ख़ून बराबर जारी रहा और यह याद नहीं के पहले कितने दिन हैज़ के थे और कितने पाकी के मगर यह याद है कि महीने में एक ही बार हैज़ आया था तो इस बार जब से ख़ून शुरू हुआ तीन दिन तक नमाज़ छोड़ दे फ़िर सात दिन तक हर नमाज़ के वक़्त में ग़ुस्ल करे और नमाज़ पढ़े और इन दस दिनों में शौहर के पास न जाये। फिर बीस दिन तक हर नमाज़ के वक़्त ताज़ा वुज़ू कर के नमाज़ पढ़े और दूसरें महीने में उन्नीस दिन वुज़ू कर के नमाज़ पढ़े और उन बीस या उन्नीस दिनों में शौहर उसके पास जा सकता है, और जो यह भी याद न हो कि महीने में एक बार आया था या दो बार तो शुरू के तीन दिन में नमाज़ न पढ़े फिर सात दिन तक हर वक़्त में ग़ुस्ल कर के नमाज़ पढ़े फिर आठ दिन तक हर वक़्त में वुज़ू कर के नमाज़ पढ़े और सिर्फ़ उन आठ दिनों में शौहर उसके पास जा सकता है और उन आठ दिन के बाद भी तीन दिन तक हर वक़्त में वुज़ू कर के नमाज़ पढ़े फिर सात दिन तक ग़ुस्ल कर के और उसके बाद आठ दिन तक वुज़ू कर के नमाज़ पढ़े और यही सिलसिला हमेशा जारी रखे ,और अगर तहारत के दिन याद हैं जैसे पन्द्रह दिन थे और बाक़ी कोई बात याद नहीं तो शुरू के तीन दिन तक नमाज़ न पढ़े फिर सात दिन तक हर वक़्त ग़ुस्ल कर के नमाज़ पढ़े फिर आठ दिन वुज़ू कर के नमाज़ पढ़े और उसके बाद फिर तीन दिन और वुज़ू कर के नमाज़ पढ़े फिर चौदह दिन तक हर वक़्त ग़ुस्ल कर के नमाज़ पढ़े फिर एक दिन वुज़ू हर वक़्त में करे और नमाज़ पढ़े फिर हमेशा के लिए जब तक ख़ून आता रहे हर वक़्त ग़ुस्ल करे, और अगर हैज़ के दिन याद हैं जैसे तीन दिन थे और तहारत के दिन याद न हों तो

शुरू के तीन दिन में नमाज़ छोड़ दे फिर अट्ठारह दिन तक हर वक़्त वुज़ू कर के नमाज़ पढ़े जिन में पन्द्रह पहले तो यक़ीनी तुहर (पाकी के)हैं और तीन दिन पिछले मशकूक (शक वाले) फिर हमेशा हर वक़्त ग़ुस्ल कर के नमाज़ पढ़े। और अगर यह याद है कि महीने में एक ही बार हैज़ आया था और यह कि वह तीन दिन था मगर यह याद नहीं कि वह क्या तारीखें थीं तो हर माह के इब्तिदाई तीन दिनों में वुज़ू कर के नमाज़ पढ़े और सत्ताईस दिन तक हर वक़्त ग़ुस्ल करे। यूँही चार दिन या पाँच दिन हैज़ के होना याद हों तो उन चार पाँच दिनों में वुज़ू करे बाक़ी दिनों में ग़ुस्ल और अगर यह मालूम है कि आख़िर महीने में हैज़ आता था और तारीखें भूल गई तो सत्ताईस दिन वुज़ू कर के नमाज़ पढ़े और तीन दिन न पढ़े फिर महीना ख़त्म होने पर एक बार नहा ले, और अगर यह मालूम है कि इक्कीस से शुरू होता था और यह याद नहीं कि कितने दिन तक आता था तो बीस के बाद तीन दिन तक नमाज़ छोड़ दे। उसके सात दिन जो रह गये उनमें हर वक़्त ग़ुस्ल कर के नमाज़ पढ़े और अगर यह याद है कि फ़ुलाँ पाँच तारीख़ों में तीन दिन आया था मगर यह याद नहीं कि उन पाँच में वह कौन कौन दिन हैं तो दो पहले दिनों में वुज़ू कर के नमाज़ पढ़े और एक दिन बीच का छोड़ दे और उसके बाद के दो दिनों में हर वक़्त ग़ुस्ल कर के पढ़े, और चार दिन में तीन दिन हैं तो पहले दिन वुज़ू कर के पढ़े और चौथे दिन हर वक़्त में ग़ुस्ल कर के नमाज़ पढ़े और बीच के दो दिनों में न पढ़े और अगर छः दिनों में तीन दिन हों तो पहले तीन दिनों में वुज़ू कर के पढ़े पिछले तीन दिनों में हर वक़्त में ग़ुस्ल कर के नमाज़ पढ़े। और अगर सात या आठ आ नौ या दस दिन में तीन दिन हों तो पहले तीन दिनों में वुज़ू और बाक़ी दिनों में हर वक़्त ग़ुस्ल कर के नमाज़ पढ़े। खुलासा यह कि जिन दिनों हैज़ का यक़ीन हो और ठीक से यह याद न हो कि उनमें वह कौन से दिन हैं तो यह देखना चाहिये कि यह दिन हैज़ के दिनों से दूने हैं या दूने से कम या ज़्यादा अगर दूने से कम हों तो उन में जो दिन यक़ीनी हैज़ होने के हों उन में नमाज़ न पढ़े और जिनके हैज़ होने न होने दोनों का इहतिमाल हो (शुबह) हो वह अगर अव्वल के हों तो उनमें वुज़ू कर के नमाज़ पढ़े और अगर आख़िर के हों तो हर वक़्त में ग़ुस्ल कर के नमाज़ पढ़े और अगर दूने या दूने से ज़्यादा हों तो हैज़ के दिनों के बराबर शुरू के दिनों में वुज़ू कर के नमाज़ पढ़े फिर हर वक़्त में ग़ुस्ल कर के नमाज़ पढ़े और अगर याद न हों कि कितने दिन हैज़ के थे और कितने दिन पाकी के न यह कि महीने के शुरू के दस दिनों में था या बीच के दस दिन या आख़िर के दस दिनों में तो दिल में सोचे जिस तरफ़ दिल जमे उस पर पाबन्दी करे, और अगर किसी बात पर दिल नहीं जमता तो हर नमाज़ के लिये ग़ुस्ल करे, और फ़र्ज़, व वाजिब और सुन्नते मुअक्कदा पढ़े मुस्तहब और नफ़्ल न पढ़े और फ़र्ज़ रोज़े रखे नफ़्ल रोज़े न रखे और उनके अलावा और जितनी बातें हैज़ वाली को जाइज़ नहीं उसको भी नाजाइज़ हैं जैसे क़ुर्आन पढ़ना या छूना मस्जिद में जाना और सजदए तिलावत वग़ैरा।

मसअला :– जिस औरत को न पहले हैज़ के दिन याद न यह याद कि किन तारीख़ों में आया था अब तीन दिन या ज़्यादा ख़ून आकर बन्द हो गया फिर पाकी के पन्द्रह दिन पूरे न हुए थे कि फिर ख़ून जारी हुआ और हमेशा को जारी हो गया तो उसका वही हुक्म है जैसे किसी को पहले पहल ख़ून आया और हमेशा को जारी हो गया ऐसी हालत में दस दिन हैज़ के शुमार करे फिर बीस दिन

तहारत के।

मसअ्ला :– जिसकी एक आदत मुकर्रर न हो कभी छः दिन हैज़ के हों और कभी सात दिन और अब जो खून आया तो बन्द होता ही नहीं तो उसके लिये नमाज़ रोज़े के हक़ में कम मुद्दत यानी छः दिन हैज़ के क़रार दिये जायेंगे और सातवें रोज़ नहा कर नमाज़ पढ़े और रोज़े रखे मगर सात दिन पूरे होने के बाद फिर नहाने का हुक्म है और सातवें दिन जो फ़र्ज़ रोज़ा रखा है उसकी क़ज़ा करे और इद्दत गुज़ारने या शौहर के पास रहने के बारे में ज़्यादा मुद्दत यानी सात दिन हैज़ के माने जायेंगें यानी सातवें दिन उससे हमबिस्तरी जाइज़ नहीं।

मसअ्ला :– किसी को एक दो दिन खून आकर बन्द हो गया और दस दिन पूरे न हुए कि फिर खून आया और दसवें दिन बन्द हो गया तो यह दसों दिन हैज़ के हैं और अगर दस दिन के बाद भी जारी रहा तो अगर आदत पहले की मालूम हो तो आदत के दिनों में हैज़ है और बाक़ी इस्तिहाज़ा नहीं तो दस दिन हैज़ के और बाक़ी इस्तिहाज़ा।

मसअ्ला :– किसी की आदत थी कि फ़ुलाँ तारीख़ में हैज़ हो अब उससे एक दिन पहले खून आकर बन्द हो गया फिर दस दिन तक नहीं आया और ग्यारहवें दिन फ़िर आ गया तो खून न आने के जो यह दस दिन हैं उनमें से अपनी आदत के बराबर हैज़ क़रार दे और अगर तारीख़ तो मुक़र्रर थी मगर हैज़ के दिन मुक़र्रर न थे तो यह दसों दिन खून न आने के हैज़ हैं यानी खून न आने के जो दस दिन हैं वह हैज़ के दिन हैं।

मसअ्ला :– जिस औरत को तीन दिन से कम खून आ कर बन्द हो गया और पन्द्रह दिन पूरे न हुये फिर आ गया तो पहली बार जब से खून आना शुरू हुआ है हैज़ है अब अगर उसकी कोई आदत है तो आदत के बराबर हैज़ के दिन शुमार कर ले वर्ना शुरू से दस दिन तक हैज़ और पिछली बार का खून इस्तिहाज़ा होगा।

मसअ्ला :– किसी को पूरे तीन दिन रात खून आकर बन्द हो गया और उसकी आदत इस से ज़्यादा की थी फिर तीन दिन रात के बाद सफ़ेद रतूबत आदत के दिनों तक आती रही तो उस के लिए सिर्फ़ तीन ही दिन रात हैज़ के हैं और आदत बदल गई।

मसअ्ला :– तीन दिन रात से कम खून आया फिर पन्द्रह दिन तक पाक रही फिर तीन दिन रात से कम आया तो न पहली बार का हैज़ है और न यह, बल्कि दोनों इस्तिहाज़ा हैं।

निफ़ास का बयान

निफ़ास किस को कहते हैं यह हम पहले बयान कर चुके हैं अब उसके मुताल्लिक़ कुछ मसाइल बयान करते हैं।

मसअ्ला :– निफ़ास में कमी के बारे में कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं आधे से ज़्यादा बच्चा निकलने के बाद एक आन भी खून आया तो वह निफ़ास है और ज़्यादा से ज़्यादा उस का ज़माना चालीस दिन रात है और निफ़ास की मुद्दत का शुमार उस वक़्त से होगा कि आधे से ज़्यादा बच्चा निकल आया। इस बयान में जहाँ बच्चा होने का लफ़्ज़ आयेगा मतलब आधे से ज़्यादा बाहर आ जाना है।

मसअ्ला :– किसी को चालीस दिन से ज़्यादा खून आया तो अगर उस के पहली बार बच्चा पैदा

हुआ है या यह याद नहीं कि इस से पहले बच्चा पैदा होने में कितने दिन खून आया था तो चालीस दिन रात निफ़ास हैं और बाक़ी इस्तिहाज़ा और जो पहली आदत मालूम हो तो आदत के दिनों तक निफ़ास हैं और जितना ज़्यादा है वह इस्तिहाज़ा जैसे आदत तीस दिन की थी इस बार 45 दिन आया तो तीस दिन निफ़ास के हैं और पन्द्रह दिन इस्तिहाज़ा के।

मसअ्ला :– बच्चा पैदा होने से पहले जो खून आया वह निफ़ास नहीं है बल्कि इस्तिहाज़ा है अगर्चे बच्चा आधा बाहर आ गया हो।

मसअ्ला :– हमल साकित हो गया यानी बच्चा गिर गया और उसका कोई उज़्व (अंग) बन चुका है जैसे हाथ पाँव या उंगलियाँ तो यह निफ़ास है वरना अगर तीन दिन रात तक रहा और इस से पहले पन्द्रह दिन तक पाक रहने का ज़माना गुज़र चुका है तो हैज़ है और जो तीन दिन से पहले ही बन्द हो गया या अभी पूरे पन्द्रह दिन पाकी के नहीं गुज़रे हैं तो इस्तिहाज़ा है।

मसअ्ला :– पेट से बच्चा काट कर निकाला गया तो उसके आधे से ज़्यादा निकालने के बाद निफ़ास है।

मसअ्ला :– हमल साकित हाने से पहले कुछ खून आया और कूछ बाद को तो पहले वाला इस्तिहाज़ा है और बाद वाला निफ़ास यह उस सूरत में है जब कोई उज़्व बन चुका हो वर्ना पहले वाला अगर हैज़ हो सकता है तो हैज़ है नहीं तो इस्तिहाज़ा है।

मसअ्ला :– हमल साकित हुआ और यह मालूम नहीं कि उज़्व बना था या नहीं और न यह याद हो कि हमल कितने दिन का था (कि इसी से उज़्व का बनना या न बनना मालूम हो जाता यानी एक सौ बीस दिन हो गये हैं तो उज़्व बन जाना क़रार दिया जायेगा)और इस्क़ात (गर्भ गिर जाने) के बाद खून हमेशा को जारी हो गया तो उसे हैज़ के हुक्म में समझे कि हैज़ की जो आदत थी उसके गुज़रने के बाद नहा कर नमाज़ शुरू कर दे और आदत न थी तो दस दिन के बाद नहा कर नमाज़ पढ़े और बाक़ी वही अहकाम हैं जो हैज़ के अहकाम में लिखे गये है।

मसअ्ला :– जिस औरत के दो बच्चे जुड़वाँ पैदा हुये यानी दोनों के बीच छः महीने से कम ज़माना है तो पहला ही बच्चा पैदा होने के बाद से निफ़ास समझा जायेगा फिर अगर दूसरा चालीस दिन के अन्दर पैदा हुआ और खून आया तो पहले से चालीस दिन तक निफ़ास है फिर इस्तिहाज़ा और अगर चालीस दिन के बाद पैदा हुआ तो इस पिछले के बाद जो खून आया इस्तिहाज़ा है मगर दूसरे के पैदा होने के बाद भी नहाने का हुक्म दिया जायेगा।

मसअ्ला :– जिस औरत के तीन बच्चे पैदा हुये कि पहले और दूसरे में छः महीने से कम फ़ासला है। यूँही दूसरे और तीसरे में छः महीने का फ़ासला हो जब भी निफ़ास पहले ही से है फिर अगर चालीस दिन के अन्दर यह दोनों भी पैदा हो गये तो पहले के बाद से ज़्यादा से ज़्यादा चालीस दिन तक निफ़ास है और अगर चालीस दिन के बाद दूसरे और तीसरे बच्चे पैदा हुए तो तीसरे के बाद जो खून आयेगा यह इस्तिहाज़ा है मगर उनके बाद भी गुस्ल का हुक्म है।

मसअ्ला :– अगर दोनों में छः महीने या ज़्यादा का फ़ासला है तो दूसरे के बाद भी निफ़ास है।

मसअ्ला :– चालीस दिन के अन्दर कभी खून आया और कभी नहीं आया तो सब निफ़ास ही है अगर्चे पन्द्रह दिन का फ़ासिला हो जाये।

मसअ्ला :– इस के रंग के बारे में वही अहकाम हैं जो हैज़ में बयान हुए हैं।

हैज़ व निफ़ास के मुतअ़ल्लिक़ अहकाम

मसअ्ला :– हैज़ और निफ़ास वाली औ़रत को क़ुर्आन मजीद देखकर या ज़बानी पढ़ना और उसका छूना अगर्चे उसकी जिल्द या चोली या हाशिये को हाथ या उंगली की नोक या बदन का कोई हिस्सा लगे यह सब हराम हैं।

मसअ्ला :– काग़ज़ के पर्चे पर कोई सूरह या आयत लिखी हो तो उसका भी छूना हराम है।

मसअ्ला :– जुज़दान में क़ुर्आन मजीद हो तो उस जुज़दान के छूने में हर्ज नहीं।

मसअ्ला :– इस हालत में कुर्ते के दामन या दुपट्टे के आँचल से या किसी ऐसे कपड़े से जिसको पहने या ओढ़े हुये हो उससे क़ुर्आन मजीद छूना हराम है। ग़र्ज़ इस हालत में क़ुर्आन मजीद और दीनी किताबें पढ़ने और छूने के बारे में वही सब अहकाम हैं जो उस शख़्स के बारे में हैं जिस पर नहाना फ़र्ज़ है और जिनका बयान ग़ुस्ल के बाब में गुज़र चुका है।

मसअ्ला :– मुअ़ल्लिमा को हैज़ या निफ़ास हुआ तो एक एक कलिमा सांस तोड़–तोड़ कर पढ़ाये और हिज्जे कराने में कोई हर्ज नहीं।

मसअ्ला :– दुआ़ये क़ुनूत पढ़ना उस हालत में मकरूह है। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका से लेकर बिल्कुफ़्फ़ारि मुल्हिक़ तक दुआ़ए क़ुनूत है।

मसअ्ला :– क़ुर्आन मजीद के अ़लावा और तमाम अज़कार कलिमा शरीफ़ और दुरूद शरीफ़ वग़ैरा पढ़ना जाइज़ है मकरूह नहीं बल्कि मुस्तहब है और इन चीजों को वुज़ू या कुल्ली कर के पढ़ना बेहतर है और वैसे ही पढ़ लिया जब भी हर्ज नहीं और उनके छूने में भी हरज नहीं।

मसअ्ला :– ऐसी औ़रत को अज़ान का जबाब देना जाइज़ है।

मसअ्ला :– ऐसी औ़रत को मस्जिद में जाना हराम है।

मसअ्ला :– औ़रत अगर चोर या दरिन्दे से डर कर मस्जिद में चली गई तो जाइज़ है उसे चाहिए कि तयम्मुम कर ले यूँही मस्जिद में पानी रखा है या कुँआ है और पानी कहीं और नहीं मिलता तो तयम्मुम करके मस्जिद में जाना जाइज़ है।

मसअ्ला :– ईदगाह के अन्दर जाने में कोई हर्ज नहीं है।

मसअ्ला :– हाथ बढ़ाकर कोई चीज़ मस्जिद से लेना जाइज़ है।

मसअ्ला :– ख़ानाए कअ्बा के अन्दर जाना और उसका तवाफ़ करना अगर्चे मस्जिदे हराम के बाहर से हो, उनके लिए हराम है।

मसअ्ला :– इस हालत में रोज़ा रखना और नमाज़ पढ़ना हराम है।

मसअ्ला :– इन दिनों में नमाज़ें मुआ़फ़ हैं उनकी क़ज़ा भी नहीं और रोज़ों की क़ज़ा दूसरे दिनों में रखना फ़र्ज़ है।

मसअ्ला :– नमाज़ का आख़िर वक़्त हो गया और अभी तक नमाज़ नहीं पढ़ी कि हैज़ आया या बच्चा पैदा हुआ तो उस वक़्त की नमाज़ मुआ़फ़ हो गई, अगर्चे इतना तंग वक़्त हो गया हो कि उस नमाज़ की गुन्जाइश न हो।

मसअ्ला :– नमाज़ पढ़ने में हैज़ आ गया या बच्चा पैदा हुआ तो वह नमाज़ मुआफ़ है अलबत्ता अगर नफ़्ल नमाज़ थी तो उसकी क़ज़ा वाजिब है।

मसअ्ला :– नमाज़ के वक़्त में वुज़ू कर के उतनी देर तक ज़िक्रे इलाही दूरूद शरीफ़ और दूसरे वज़ीफ़े पढ़ लिया करे जितनी देर तक नमाज़ पढ़ा करती थी कि आदत रहे।

मसअ्ला :– हैज़ वाली को तीन दिन से कम खून आकर बन्द हो गया तो रोज़े रखे और वुज़ू कर के नमाज़ पढ़े नहाने की ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद अगर पन्द्रह दिन के अन्दर खून आया तो अब नहाये और आदत के दिन निकाल कर बाक़ी दिनों की क़ज़ा पढ़े और जिसकी कोई आदत नहीं वह दस दिन के बाद की नमाज़ें क़ज़ा करे। हाँ अगर आदत के दिनों के बाद या बे–आदत वाली ने दस दिन के बाद गुस्लकर लिया था तो इन दिनों की नमाज़ें हो गईं क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं और आदत के दिनों से पहले के रोज़ों की क़ज़ा करे और बाद के रोज़े हर हाल में हो गये।

मसअ्ला :– जिस औरत को तीन दिन रात के बाद हैज़ बन्द हो गया और आदत के दिन अभी पूरे न हुए या निफ़ास का खून आदत पूरी होने से पहले बन्द हो गया तो बन्द होने के बाद ही ग़ुस्ल करके नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे और आदत के दिनों का इन्तिज़ार न करे।

मसअ्ला :– आदत के दिनों से खून आगे बढ़ गया तो हैज़ में दस और निफ़ास में चालीस दिन तक इन्तिज़ार करे,अगर इस मुद्दत के अन्दर बन्द हो गया तो अब से नहा धोकर नामज़ पढ़े और जो इस मुद्दत के बाद भी जारी रहा तो नहाये और आदत के बाद बाक़ी दिनों की क़ज़ा करे।

मसअ्ला :– हैज़ या निफ़ास आदत के दिन पूरे होने से पहले बन्द हो गया तो आख़िर मुस्तहब वक़्त तक इन्तिज़ार करके नहा कर नमाज़ पढ़े और जो आदत के दिन पूरे हो चुके तो इन्तिज़ार की कोई ज़रूरत नहीं।

मसअ्ला :– हैज़ पूरे दस दिन पर और निफ़ास पूरे चालीस दिन पर ख़त्म हुआ और नमाज़ के वक़्त में अगर इतना भी बाक़ी हो कि अल्लाहु अकबर का लफ़्ज़ कहे तो उस वक़्त की नमाज़ उस पर फ़र्ज़ हो गई। नहा कर उसकी क़ज़ा पढ़े और अगर उससे कम में बन्द हुआ और इतना वक़्त है कि जल्दी से नहाकर और कपड़े पहनकर एक बार अल्लाहु अकबर कह सकती है तो फ़र्ज़ हो गयी क़ज़ा करे वर्ना नहीं।

मसअ्ला :– अगर पूरे दस दिन पर पाक हुई और इतना वक़्त रात का बाक़ी नहीं कि एक बार अल्लाहु अकबर कह ले तो उस दिन का रोज़ा उस पर वाजिब है और जो कम में पाक हुई और इतना वक़्त है कि सुबह सादिक़ होने से पहले नहा कर कपड़े पहन कर एक बार अल्लाहु अकबर कह सकती है तो रोज़ा फ़र्ज़ है अगर नहा ले तो बेहतर है नहीं तो बे नहाये नियत कर ले और सुबह को नहा ले और जो इतना वक़्त भी नहीं तो उस दिन का रोज़ा फ़र्ज़ न हुआ अलबत्ता रोज़ा दारों की तरह रहना वाजिब है कोई बात ऐसी जो रोज़े के ख़िलाफ़ हो जैसे खाना पीना हराम है।

मसअ्ला :– रोज़े की हालत में हैज़ या निफ़ास शुरू हो गया तो वह रोज़ा जाता रहा उसकी क़ज़ा रखे अगर रोज़ा फ़र्ज़ था तो क़ज़ा फ़र्ज़ है और नफ़्ल था तो क़ज़ा वाजिब है।

मसअ्ला :– हैज़ और निफ़ास की हालत में सजदए शुक्र और सजदए तिलावत हराम है और आयते सजदा सुनने से उस पर सजदा वाजिब नहीं।

मसअ्ला :– अगर सोते वक़्त औरत पाक थी और सुबह को सोकर उठी तो हैज़ का असर देखा तो उसी वक़्त से हैज़ का हुक्म दिया जायेगा और इशा की नमाज़ नहीं पढ़ी थी तो पाक होने पर उसकी क़ज़ा फ़र्ज़ है।

मसअ्ला :– हैज़ वाली सोकर उठी और गद्दी पर कोई निशान हैज़ का नहीं तो रात ही से पाक है नहा कर इशा की क़ज़ा पढ़े ।

मसअ्ला :– इस हालत में सोहबत हमबिस्तरी(सम्भोग)हराम है।

मसअ्ला :– ऐसी हालत में सोहबत को जाइज़ जानना कुफ़्र है और हराम समझ कर कर लिया तो सख़्त गुनहगार हुआ उस पर तौबा फ़र्ज़ है और हैज़ के आने के ज़माने में किया तो एक दीनार और ख़त्म होने के क़रीब किया तो आधा दीनार ख़ैरात करना मुस्तहब है।

मसअ्ला :– इस हालत में नाफ़ से घुटने तक औरत के बदन का अपने किसी उज़्व से छूना जाइज़ नहीं जबकि कपड़ा या किसी और चीज़ की रुकावट न हो शहवत से हो या बे शहवत और अगर ऐसा हाइल हो कि बदन की गर्मी महसूस न होगी तो कोई हर्ज नहीं।

मसअ्ला :– नाफ़ से ऊपर और घुटने से नीचे छूने या किसी और तरह का नफ़ा लेने में कोई हर्ज नहीं। यूँही चूमना भी जाइज़ है।

मसअ्ला :– अपने साथ खिलाना या एक साथ सोना जाइज़ है बल्कि इस वजह से साथ न सोना मकरूह है।

मसअ्ला :– इस हालत में औरत मर्द के बदन के हर हिस्से को हाथ लगा सकती है।

मसअ्ला :– अगर साथ सोने में शहवत के ज़्यादा होने और अपने को क़ाबू में न रख सकने का ख़तरा हो तो साथ न सोये और अगर ग़ालिब गुमान हो तो साथ सोना गुनाह है।

मसअ्ला :– हैज़ पूरे दस दिन पर ख़त्म हुआ तो पाक होते ही औरत से सोहबत करना जाइज़ है अगर्चे अब तक न नहाई हो मगर मुस्तहब यह है कि नहाने के बाद सोहबत करे।

मसअ्ला :– अगर औरत दस दिन से कम में पाक हुई तो जब तक कि नहा न ले या नमाज़ का वक़्त जिसमें वह पाक हुई गुज़र न जाये सोहबत जाइज़ नहीं और अगर वक़्त इतना नहीं था कि उसमें नहा कर कपड़े पहन कर अल्लाहु अकबर कह सके तो उसके बाद का वक़्त गुज़र जाये या नहा ले तो जाइज़ है वर्ना नहीं।

मसअ्ला :– आदत के दिन पूरे होने से पहले ही ख़त्म हो गया तो अगर्चे ग़ुस्ल कर ले सोहबत नाजाइज़ है जब तक कि आदत के दिन पूरे न हों जैसे किसी की आदत छह दिन की थी और इस बार पाँच ही दिन आया तो उसे हुक्म है कि नहा कर नमाज़ शुरू कर दे मगर सोहबत के लिए एक दिन और इन्तिज़ार करना वाजिब है।

मसअ्ला :– हैज़ से पाक हुई और पानी पर कुदरत नहीं कि ग़ुस्ल करे और ग़ुस्ल का तयम्मुम किया तो इससे सोहबत जाइज़ नहीं जब तक इस तयम्मुम से नमाज़ न पढ़ ले नमाज़ पढ़ने के बाद अगर्चे पानी पर क़ादिर होकर ग़ुस्ल न किया सोहबत जाइज़ है।

फ़ाइदा :– इन बातों में निफ़ास के वही अहकाम हैं जो हैज़ के हैं।

मसअ्ला :– निफ़ास में औरत का ज़च्चाख़ाने से निकलना जाइज़ है। उसको साथ खिलाने या

उसका झूठा खाने में हरज नहीं। हिन्दुस्तान में जो कुछ जगह उनके बर्तन तक अलग कर देती हैं बल्कि उनके बर्तनों को नापाक बर्तनों की तरह मसझती हैं यह ग़लत है यह हिन्दुओं की रस्म है ऐसी बेहूदा रस्मों से बचना ज़रूरी है। अकसर औरतों में यह रिवाज है कि जब तक चिल्ला पूरा न हो ले अगर्चे निफ़ास ख़त्म हो लिया हो न नमाज़ पढ़ें न अपने को नमाज़ के क़ाबिल जानें यह सरासर जिहालत है। जिस वक़्त निफ़ास ख़त्म हुआ उसी वक़्त से नहा कर नमाज़ शुरू कर दें अगर नहाने से बीमारी का पूरा अन्देशा हो तो तयम्मुम कर लें।

मसअला :– बच्चा अभी आधे से ज़्यादा पैदा नहीं हुआ और नमाज़ का वक़्त जा रहा है और यह गुमान है कि आधे से ज़्यादा बाहर होने से पहले वक़्त ख़त्म हो जायेगा तो उस वक़्त की नमाज़ जिस तरह मुमकिन हो पढ़े और अगर खड़ी न हो सके, रुकूअ़ और सजदा न कर सके तो इशारे से नमाज़ पढ़े और वुज़ू न कर सके तो तयम्मुम से पढ़े और अगर न पढ़ी तो गुनहागार हुई। तौबा करे और पाकी के बाद क़ज़ा पढ़े।

इस्तिहाज़ा का बयान

हदीस न.1 :– सहीहैन में उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से मरवी कि फ़ातिमा बिन्ते अबी जैश रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा ने अ़र्ज़ की कि या रसूलल्लाह ! मुझे इस्तिहाज़ा आता है और पाक नहीं रहती तो क्या नमाज़ छोड़ दूँ ? फ़रमाया नहीं यह तो रग का ख़ून है हैज़ नहीं तो जब हैज़ के दिन आयें तो नमाज़ छोड़ दे और जब जाते रहें ख़ून धो और नमाज़ पढ़।

हदीस न.2 :– अबू दाऊद और नसई की रिवायत में फ़ातिमा बिन्ते अबी जैश रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से यूँ है कि उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब हैज़ का ख़ून हो तो काला होगा और पहचान में आयेगा जब यह हो तो नमाज़ से बचो और जब दूसरी तरह का हो तो वुज़ू करो और नमाज़ पढ़ो कि वह रग का ख़ून है।

हदीस न.3 :– इमामे मालिक व अबू दाऊद व दारमी की रिवायत में है कि एक औरत के ख़ून बहता रहता उसके लिए उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से फ़तवा पूछा। इरशाद फ़रमाया कि इस बीमारी से पहले महीने में जितने दिन रातें हैज़ आता था उनकी गिनती शुमार करे,महीने में उन्हीं की मिक़दार नमाज़ छोड़ दे और जब वह दिन जाते रहें तो नहाये और लंगोट बाँध कर नमाज़ पढ़े।

हदीस न.4 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी की रिवायत है इरशाद फ़रमाया जिन दिनों में हैज़ आता था उनमें नमाज़ें छोड़ दे फिर नहाये और हर नमाज़ के वक़्त वुज़ू करे और रोज़ा रखे और नमाज़ पढ़े।

इस्तिहाज़ा के अहकाम

इस्तिहाज़ा में न नमाज़ मुआ़फ़ है न रोज़ा और न ऐसी औरत से सोहबत हराम है।

माज़ूर के मसाइल

मसअला :– इस्तिहाज़ा अगर इस हद तक पहुँच गया कि उसको इतनी मोहलत नहीं मिलती कि वुज़ू कर के फर्ज नमाज अदा कर सके तो नमाज़ का पूरा एक वक़्त शुरू से आख़िर तक इसी हालत में गुजर जाने पर उसको माजूर और मजबूर कहा जायेगा। एक वुज़ू से उस वक़्त में जितनी

नमाज़ें चाहे पढ़े खून आने से उसका वुज़ू न जायेगा।

मसअला :– मगर कपड़ा वग़ैरा रख कर इतनी देर तक ख़ून रोक सकती है कि वुज़ू करके फ़र्ज़ पढ़ ले तो उसका माज़ूर होना साबित न होगा।

मसअला :– हर वह शख़्स जिसको ऐसी कोई बीमारी है कि एक वक़्त पूरा ऐसा गुज़र गया कि वुज़ू के साथ नमाज़े फ़र्ज़ अदा न कर सका वह माज़ूर है उसका भी यही हुक्म है कि वक़्त में वुज़ू कर ले और आख़िर वक़्त तक जितनी नमाज़ें चाहे उस वुज़ू से पढ़े। उस बीमारी से उसका वुज़ू नहीं जाता जैसे क़तरे का मर्ज़ या दस्त आना या हवा ख़ारिज होना या दुखती आँख से पानी गिरना या फ़ोड़े या नासूर से हर वक़्त रतूबत बहना या कान,नाफ़ या छाती से पानी निकलना कि ये सब बीमारियाँ वुज़ू तोड़ने वाली हैं उनमें जब पूरा एक वक़्त ऐसा गुज़र गया कि हर चन्द कोशिश की मगर तहारत के साथ नमाज़ न पढ़ सका तो यह मज़बूरी होगी और माज़ूर समझा जायेगा।

मसअला :– जब उज़्र साबित हो गया तो जब तक हर वक़्त में एक एक बार भी यह चीज़ पाई जाये माज़ूर ही रहेगा जैसे औरत को एक वक़्त तो इस्तिहाज़ा ने तहारत की मोहलत नहीं दी अब इतना मौक़ा मिलता है कि वुज़ू कर के नमाज़ पढ़ ले मगर अब भी एक आध बार हर वक़्त में ख़ून आ जाता है तो अब भी माज़ूर है। यूँही तमाम बीमारीयों में। और जब पूरा वक़्त गुज़र गया और ख़ून नहीं आया तो अब माज़ूर न रहीं जब फिर कभी पहली हालत पैदा हो जाये तो फिर माज़ूर है उसके बाद फिर अगर पूरा वक़्त ख़ाली गया तो उज़्र जाता रहा।

मसअला :– नमाज़ का कुछ वक़्त ऐसी हालत में गुज़रा कि उज़्र न थ और नमाज़ न पढ़ी और अब पढ़ने का इरादा किया तो इस्तिहाज़ा या बीमारी से वुज़ू जाता रहता है ग़र्ज़ यह बाक़ी वक़्त ऐसे ही गुज़र गया और इसी हालत में नमाज़ पढ़ ली तो अब इसके बाद का वक़्त भी पूरा अगर इसी इस्तिहाज़ा या बीमारी में गुज़र गया तो वह पहली भी हो गई और इस वक़्त इतना मौक़ा मिला कि वुज़ू कर के फ़र्ज़ पढ़ ले तो पहली नमाज़ को लौटाये।

मसअला :– ख़ून बहते में वुज़ू किया और वुज़ू के बाद ख़ून बन्द हो गया और उसी वुज़ू से नमाज़ पढ़ी और उसके बाद जो दूसरा वक़्त आया वह भी पूरा गुज़र गया कि ख़ून न आया तो पहली नमाज़ को लौटाये यूँही अगर नमाज़ में बन्द हुआ और उसके बाद दूसरे में बिल्कुल न आया जब भी नमाज़ लौटाये।

मसअला :– फ़र्ज़ नमाज़ का वक़्त जाने से माज़ूर का वुज़ू टूट जाता है जैसे किसी ने अस्र के वक़्त वुज़ू किया था तो आफ़ताब के डूबते ही वुज़ू जाता रहा और अगर किसी ने आफ़ताब निकलने के बाद वुज़ू किया तो जब तक ज़ोहर का वक़्त ख़त्म न हो वुज़ू न जायेगा कि अभी तक किसी फ़र्ज़ नमाज़ का वक़्त नहीं गया।

मसअला :– वुज़ू करते वक़्त वह चीज़ नहीं पाई गई जिसकी वजह से वह माज़ूर है और वुज़ू के बाद भी न पाई गई यहाँ तक कि बाक़ी पूरा वक़्त नमाज़ का ख़ाली गया तो वक़्त के जाने से वुज़ू नहीं टूटा। यूँही अगर वुज़ू से पहले पाई गई मगर न वुज़ू के बाद बाक़ी वक़्त में पाई गई न उसके बाद दूसरे वक़्त में तो वक़्त जाने से वुज़ू न टुटेगा।

मसअला :– और अगर उस वक़्त में वुज़ू से पहले वह चीज़ पाई गई और वुज़ू के बाद भी वक़्त में

पाई गई या वुज़ू के अन्दर पाई गई और वुज़ू के बाद उस वक़्त में न पाई गई मगर बाद वाले में पाई गई तो वक़्त ख़त्म होने पर वुज़ू जाता रहेगा अगर्चे वह हदस न पाया जाये।

मसअला :– माज़ूर का वुज़ू उस चीज़ से नहीं जाता जिसकी वजह से माज़ूर है हाँ अगर कोई दूसरी चीज़ वूज़ू तोड़ने वाली पाई गई तो वुज़ू जाता रहा जिसको क़तरे का मर्ज़ है, हवा निकलने से वुज़ू जाता रहेगा और जिसको हवा निकलने का मर्ज़ है, क़तरे से वुज़ू जाता रहेगा ।

मसअला :– माज़ूर ने किसी हदस के बाद वुज़ू किया और वूज़ू करते वक़्त वह चीज़ नहीं है जिसके सबब माज़ूर है फिर वूज़ू के बाद वह उज़्र वाली चीज़ पाई तो वुज़ू जाता रहा जैसे इस्तिहाज़ा वाली ने पाख़ाना पेशाब के बाद वुज़ू किया और वुज़ू करते वक़्त ख़ून बन्द था वुज़ू के बाद आया तो वुज़ू टूट गया और अगर वुज़ू करते वक़्त वह उज़्र वाली चीज़ भी पाई जाती थी तो अब वुज़ू की ज़रूरत नहीं।

मसअला :– माज़ूर के एक नथने से ख़ून आ रहा था और वुज़ू के बाद दूसरे नथने से आया तो वुज़ू जाता रहा या एक ज़ख़्म बह रहा था अब दूसरा बहा यहाँ तक कि चेचक के एक दाने से पानी आ रहा था अब दूसरे दाने से आया तो वुज़ू टूट गया।

मसअला :– अगर किसी तरकीब से उज़्र जाता रहे या उसमें कमी हो जाये तो उस तरकीब का करना फ़र्ज़ है जैसे खड़े होकर पढ़ने से ख़ून बहता है और बैठ कर पढ़े तो न बहेगा ते बैठ कर पढ़ना फ़र्ज़ है।

मसअला :– माज़ूर को ऐसा उज़्र है जिसके सबब कपड़े नजिस हो जाते हैं तो अगर एक दिरहम से ज़्यादा नजिस हो गया और यह जानता है कि इतना मौक़ा है कि उसे धोकर पाक कपड़े से नमाज़ पढ़ लेगा तो धो कर नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है और अगर जानता है कि नमाज़ पढ़ते पढ़ते फिर उतना ही नजिस हो जायेगा तो धोना ज़रूरी नहीं उसी से पढ़े अगर्चे मुसल्ले पर भी नजासत लग जाये कुछ हरज नहीं और अगर दिरहम के बराबर है तो पहली सूरत में धोना वाजिब और दिरहम से कम है तो सुन्नत और दूसरी सूरत में न धोने में कोई हरज नहीं।

मसअला :– इस्तिहाज़ा वाली औरत अगर ग़ुस्ल करके ज़ोहर की नमाज़ आख़िर वक़्त में और अस्र की नमाज़ वुज़ू करके अव्वले वक़्त में और मग़रिब की नमाज़ ग़ुस्ल करके आख़िर वक़्त में और इशा की नमाज़ वुज़ू कर के अव्वले वक़्त में पढ़े और फ़ज्र की भी ग़ुस्ल करके पढ़े तो बेहतर है और तअ़ज्जुब नहीं कि यह अदब जो हदीस में इरशाद हुआ है उस पर अ़मल की बरकत से उसके मर्ज़ को भी फ़ाइदा पहुँचे।

मसअला :– किसी ज़ख़्म से ऐसी रतूबत निकले कि बहे नहीं तो न उसकी वजह से वुज़ू टूटे न माज़ूर हो और न वह रतूबत नापाक है।

नजासतों का बयान

हदीस न.1:– सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में असमा बिन्ते अबूबक्र रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि एक औरत ने अ़र्ज़ की कि या रसूलल्लाह! हम में जब किसी के कपड़े को हैज़ का ख़ून लग जाये तो क्या करें ? फ़रमाया जब तुम में से किसी के कपड़े को हैज़ का ख़ून लग जाये तो उसे ख़ुर्चे फिर पानी से धोये तब उसमें नमाज़ पढ़े ।

हदीस न.2 :– सहीहैन में है कि उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कपड़े से मनी को मैं धोती फिर हुजूर नमाज़ को तशरीफ़ ले जाते और धोने का निशान उसमें होता।

हदीस न.3 :– मुस्लिम शरीफ़ में है कि सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कपड़े को मल डालती फिर हुज़ूर उसमें नमाज़ पढ़ते।

हदीस न.4 :– सहीह मुस्लिम शरीफ़ में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं चमड़ा जब पका लिया जाए,पाक हो जाएगा।

हदीस न.5 :– इमामे मालिक उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा से रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुक्म फ़रमाया कि मुर्दार की खालें जब कि पका ली जायें तो उन्हें काम में लाया जाये।

हदीस न.6 :– इमामे अहमद, अबू दाऊद और नसई ने रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दरिन्दों की खाल से मना फ़रमाया है।

हदीस न.7 :– दूसरी रिवायत में है कि उनके पहनने और उन पर बैठने से मना फ़रमाया है।

नजासतों के मुतअल्लिक़ अहकाम

नजासत दो क़िस्म की हैं। एक वह जिसका हुक्म सख़्त है उसको **ग़लीज़ा** कहते हैं। दूसरी वह जिसका हुक्म हल्का है उसे **ख़फ़ीफ़ा** कहते है।

मसअ्ला :– नजासते ग़लीज़ा का हुक्म यह है कि अगर कपड़े या बदन में एक दिरहम से ज़्यादा लग जाये तो उसका पाक करना फ़र्ज़ है अगर बे पाक किये नमाज़ पढ़ ली तो होगी ही नहीं और अगर जान बूझकर पढ़ी तो गुनाह भी हुआ और अगर इस्तिख़्फ़ाफ़ (हलका समझना) की नियत से है तो कुफ़्र है। और अगर दिरहम के बराबर है तो पाक करना वाजिब है अगर बे पाक किये नमाज़ पढ़ी तो मकरूहे तहरीमी हुई यानी ऐसी नमाज़ का लौटाना वाजिब हैं और जान बूझ कर पढ़ी तो गुनाहगार भी हुआ अगर दिरहम से कम है तो पाक करना सुन्नत है कि बे पाक किये नमाज़ हो गई मगर सुन्नत के ख़िलाफ़ है और उसका लौटाना बेहतर है।

मसअ्ला :– अगर नजासत गाढ़ी है जैसे पाख़ाना लीद या गोबर तो दिरहम के बराबर या कम या ज़्यादा के मअ्ना यह हैं कि वज़न में उस के बराबर या कम या ज़्यादा हो और दिरहम का वज़न इस जगह शरीअत में साढ़े चार माशे और ज़कात में तीन माशा $1\frac{1}{5}$ रत्ती है और अगर पतली है जैसे आदमी का पेशाब और शराब तो दिरहम से मुराद उसकी लम्बाई चौड़ाई है और शरीअत ने उसकी मिक़दार हथेली की गहराई के बराबर बताई यानी हथेली खूब फैला कर बराबर रखें और उस पर आहिस्ता से इतना पानी डालें कि उससे ज़्यादा पानी न रुक सके अब पानी का जितना फैलाव है उतना बड़ा दिरहम समझा जाये और उसकी मिक़दार तक़रीबन यहाँ के रुपये के बराबर है।

मसअ्ला :– नजिस तेल कपड़े पर गिरा और उस वक़्त दिरहम के बराबर न था फिर फैल कर

दिरहम के बराबर हो गया तो उस में उलमा को बहुत इख़्तिलाफ़ है लेकिन तरजीह इस बात में है कि पाक करना वाजिब हो गया।

मसअ्ला :– नजासते ख़फ़ीफ़ा का यह हुक्म है कि कपड़े के जिस हिस्से या बदन के जिस उज़्व में नजासत लगी है अगर उसकी चौथाई से कम है (जैसे दामन में लगी है तो दामन की चौथाई से कम,आस्तीन में लगी है तो आस्तीन की चौथाई से कम और ऐसे ही हाथ में हाथ की चौथाई से कम है) तो माफ़ है कि उस से नमाज़ हो जायेगी और अगर पूरी चौथाई में हो तो बे धोये नमाज़ न होगी।

मसअ्ला :– नजासते ग़लीज़ा और ख़फ़ीफ़ा के जो अलग–अलग हुक्म बताये गये यह उसी वक़्त है कि बदन या कपड़े में लगे और अगर किसी पतली चीज़ जैसे पानी या सिरका में गिरे तो चाहे ग़लीज़ा हो या ख़फ़ीफ़ा कुल नापाक हो जायेगा अगर्चे एक क़तरा गिरे जब तक वह पतली चीज़ कसरत की हद पर यानी दह–दर–दह न हो। दह–दर–दह का मतलब यह है कि लम्बाई दस हाथ और चौड़ाई दस हाथ हो (यानी जिसका क्षेत्रफल सौ हाथ हो)और गहराई इतनी हो कि ज़मीन न खुले।

मसअ्ला :– इन्सान के बदन से जो ऐसी चीज़ निकले कि उससे ग़ुस्ल या वुज़ू वाजिब हो नजासते ग़लीज़ा है जैसे पाख़ाना,पेशाब बहता ख़ून,पीप,भर मुँह कै,हैज़ निफ़ास,इस्तिहाज़ा का ख़ून,मनी, मज़ी और वदी।

मसअ्ला :– शहीदे फ़िक़ही (यानी वह शहीद जिसे ग़ुस्ल नहीं दिया जाता) उसका ख़ून जब तक उसके बदन से जुदा न हो पाक है।

मसअ्ला :– दुखती आँख से जो पानी निकले नजासते ग़लीज़ा है यूँही नाफ़ या पिस्तान से दर्द के साथ पानी निकले नजासते ग़लीज़ा है।

मसअ्ला :– बलग़मी रतूबत नाक या मुँह से निकले नजिस नहीं अगर्चे पेट से चढ़े या बीमारी के सबब हो।

मसअ्ला :– दूध पीते लड़के लड़की का पेशाब नजासते ग़लीज़ा है। यह जो अक्सर अवाम में मशहूर है कि दूध पीते बच्चों का पेशाब पाक है बिल्कुल ग़लत है।

मसअ्ला :– दूध पीने वाले बच्चे ने दूध डाल दिया अगर भर मुँह है तो नजासते ग़लीज़ा है।

मसअ्ला :– ख़ुश्की के हर जानवर का बहता ख़ून, मुर्दार का गोश्त और चर्बी (यानी वह जानवर जिसमें बहता हुआ ख़ून होता है अगर शरई तौर पर ज़िबह किये बग़ैर मर जाये मुर्दार है अगर्चे ज़िबह किया गया हो जैसे मजूसी या बुत परस्त या मुरतद का ज़बह किया हुआ जानवर अगर्चे उसने हलाल जानवर जैसे बकरी वग़ैरह को ज़िबह किया हो उसका गोश्त पोस्त सब नापाक हो गया और अगर हराम जानवर शरई तौर पर ज़बह कर लिया गया तो उसका गोश्त पाक हो गया अगर्चे खाना हराम है ख़िन्ज़ीर कि वह नजिसुल ऐन है किसी तरह पाक नहीं हो सकता।)हराम चौपाये जैसे कुत्ता,शेर, लोमड़ी,बिल्ली,चूहा,गधा,ख़च्चर,हाथी और सुअर का पाख़ाना, पेशाब और घोड़े की लीद और हर हलाल चौपाय का पाख़ाना जैसे गाय भैंस का गोबर,बकरी ऊँट की मेंगनी और जो परिन्दा कि ऊँचा न उड़े उसकी बीट जैसे मुर्ग़ी और बत्तख़ चाहे छोटी हो या बड़ी और हर

किस्म की शराब और नशा लाने वाली ताड़ी और सेंधी और साँप का पाख़ाना पेशाब और उस जंगली साँप और मेंढक का गोश्त जिनमें बहता खून होता है अगर्चे ज़िबह किये गये हों यूँही उनकी खाल अगर्चे पका ली गई हो और सुअर का गोश्त हड्डी और बाल अगर्चे ज़िबह किया गया हो यह सब निजासते ग़लीज़ा हैं।

मसअला :– छिपकली या गिरगिट का खून नजासते ग़लीज़ा है।

मसअला :– अंगूर का शीरा कपड़े पर पड़ा तो अगर्चे कई दिन गुज़र जायें कपड़ा पाक है।

मसअला :– हाथी की सूँड की रतूबत और शेर,कुत्ते, चीते और दूसरे दरिन्दे चौपायों का लुआ़ब नजासते ग़लीज़ा है।

मसअला :– जिन जानवरों का गोश्त ह़लाल है जैसे गाय,बैल,भैंस बकरी और ऊँट वग़ैरा उनका पेशाब और घोड़े का पेशाब और जिस परिन्द का गोश्त ह़राम है चाहे शिकारी हों या नहीं जैसे कौआ,चील शिकरा, बाज़ बहरी उसकी बीट नजासते ख़फ़ीफ़ा है।

मसअला :– चमगादड़ की बीट और पेशाब दोनों पाक हैं।

मसअला :– जो परिन्द ह़लाल ऊँचे उड़ते हैं जैसे कबूतर,मैना,मुर्ग़ाबी और क़ाज़ उनकी बीट पाक है।

मसअला :– हर चौपाये की जुगाली का वही हुक्म है जो उसके पाख़ाने का है।

मसअला :– हर जानवर के पित्ते का वही हुक्म है जो उसके पेशाब का है। ह़राम जानवरों का पित्ता नजासते ग़लीज़ा और ह़लाल जानवरों का नजासते ख़फ़ीफ़ा है।

मसअला :– नजासते ग़लीज़ा अगर ख़फ़ीफ़ा में मिल जाये तो कुल ग़लीज़ा है।

मसअला :– मछली और पानी के दूसरे जानवरों और खटमल और मच्छर का खून और ख़च्चर और गधे का लुआ़ब और पसीना पाक है।

मसअला :– पेशाब की निहायत बारीक छींटे सुई की नोंक बराबर की बदन या कपड़े पर पड़ जायें तो कपड़ा और बदन पाक रहेगा।

मसअला :– जिस कपड़े पर ऐसी ही पेशाब की बारीक छींटें पड़ गईं अगर वह कपड़ा पानी में पड़ गया तो पानी भी नापाक न होगा।

मसअला :– जो खून ज़ख़्म से बहा न हो वह पाक है।

मसअला :– गोश्त,तिल्ली और कलेजी में जो खून बाक़ी रह गया पाक है और अगर यह चीज़ें बहते खून में सन जायें तो नापाक हैं,बग़ैर धोये पाक न होंगी।

मसअला :– जो बच्चा मुर्दा पैदा हुआ हो उसको गोद में लेकर नमाज़ पढ़ी अगर्चे उसको ग़ुस्ल दे लिया हो नमाज़ न होगी और अगर ज़िन्दा पैदा होकर मर गया और बे नहलाये गोद में लेकर नमाज़ पढ़ी जब भी न होगी। हाँ अगर उसको ग़ुस्ल दे कर गोद में लिया था तो हो जायेगी मगर मुस्तह़ब के ख़िलाफ़ है। यह बातें उस वक़्त हैं कि मुसलमान का बच्चा हो और काफ़िर का मुर्दा बच्चा है तो किसी ह़ाल में नमाज़ न होगी ग़ुस्ल दिया हो या नहीं।

मसअला :– अगर नमाज़ पढ़ी और जेब वग़ैरह में शीशी है और उसमें पेशाब या खून या शराब है तो नमाज़ न होगी और जेब में अंडा है और उसकी ज़र्दी खून हो चूकी है तो नमाज़ हो जायेगी।

मसअ्ला :– रुई का कपड़ा उधेड़ा गया और उसके अन्दर चूहा सूखा हुआ मिला तो अगर उसमें सूराख़ है तो तीन दिन तीन रातों की नमाज़ें लौटाये और न हो तो जितनी नमाज़ें उससे पढ़ी हैं सब को लौटाये।

मसअ्ला :– किसी कपड़े या बदन पर चन्द जगह नजासते ग़लीज़ा लगी और किसी जगह दिरहम के बराबर नहीं मगर सब को मिलाकर दिरहम के बराबर है तो दिरहम के बराबर समझी जायेगी और ज़्यादा है तो ज़्यादा और नजासते ख़फ़ीफ़ा में भी मजमुआ (कुल)पर ही हुक्म दिया जायेगा।

मसअ्ला :– हराम जानवरों का दूध नजिस है अलबत्ता घोड़ी का दूध पाक है मगर खाना जाइज़ नहीं

मसअ्ला :– चूहे की मेंगनी गेहूँ में मिलकर पिस गई या तेल में पड़ गई तो आटा और तेल पाक है और हाँ अगर मज़े में फ़र्क़ आ जाये तो नजिस है और अगर रोटी के अन्दर मिली तो उसके आस पास से थोड़ी सी अलग कर दें बाक़ी में कोई हर्ज नहीं।

मसअ्ला :– रेशम के कीड़े की बीट और उसका पानी पाक है।

मसअ्ला :– नापाक कपड़े में पाक कपड़ा या पाक में नापाक कपड़ा लपेटा और उस नापाक कपड़े से यह पाक कपड़ा नम हो गया तो नापाक न होगा बशर्ते कि नजासत का रंग या बू उस पाक कपड़े में ज़ाहिर न हो वर्ना नम हो जाने से भी नापाक हो जायेगा। हाँ अगर भीग जाये तो नापाक हो जायेगा और यह उसी सूरत में है कि यह नापाक कपड़ा पानी से तर हुआ हो और अगर पेशाब या शराब की तरी उसमें है तो वह पाक कपड़ा नम हो जाने से भी नजिस हो जायेगा और अगर नापाक कपड़ा सूखा था और पाक तर था और उस पाक की तरी से वह नापाक तर हो गया और उस नापाक को इतनी तरी पहुँची कि उससे छूट कर इस पाक को लगी तो यह नापाक हो गया वर्ना नहीं।

मसअ्ला :– भीगे हुए पाँव नजिस ज़मीन या बिछौने पर रखे तो नापाक न होंगे अगर्चे पाँव की तरी का उस पर धब्बा मालूम हो अगर उस ज़मीन या बिछौने को इतनी तरी पहूँची कि उसकी तरी पांव को लगी तो पाँव नजिस हो जायेंगे।

मसअ्ला :– भीगी हुई नापाक ज़मीन या नजिस बिछौने पर सूखे हुये पाँव रखे और पाँव में तरी आ गई तो नजिस हो गये और सील है तो नहीं।

मसअ्ला :– जिस जगह को गोबर से लेसा और वह सूख गई तो भीगा कपड़ा उस पर रखने से नजिस न होगा जब तक कपड़े की तरी उसे इतनी न पहुँचे कि उससे छूट कर कपड़े को लगे।

मसअ्ला :– नजिस कपड़ा पहनकर या नजिस बिछौने पर सोया और पसीना आया अगर पसीने से कपडे की वह नापाक जगह भीग गई फिर उससे बदन तर हो गया तो नापाक हो गया वरना नहीं।

मसअ्ला :– नापाक चीज़ पर हवा होकर गुज़री और बदन या कपड़े को लगी तो नापाक न होगा।

मसअ्ला :– नापाक चीज़ का धुआँ कपड़े या बदन को लगे तो नापाक नहीं ऐसे ही नापाक चीज़ के जलाने से जो धुँए (भाप) उठे उनसे भी नजिस न होगा अगर्चे उनसे कपड़ा भीग जाये। हाँ अगर नजासत का असर उसमें ज़ाहिर हो तो नजिस हो जायेगा।

मसअ्ला :– उपले का धुआँ अगर रोटी में लगे तो रोटी नापाक न हुई।

मसअ्ला :– कोई नजिस चीज़ दह–दर–दह पानी में फेंकी और उस फेंकने की वजह से पानी की छींटे कपड़े पर पड़ीं तो कपड़ा नजिस न होगा। हाँ अगर मालूम हो कि यह छींटें उस नजिस चीज़

की हैं तो इस सूरत में नजिस हो जायेगा।
मसअला :– अगर पाख़ाने पर से मक्खियाँ उड़ कर कपड़े पर बैठीं तो कपड़ा नजिस न होगा!
मसअला :– रास्ते की कीचड़ पाक है जब तक उसका नजिस होना मालूम न हो तो अगर पाँव या कपड़े में लगी और बे धोये नमाज़ पढ़ ली तो हो गयी मगर धो लेना बेहतर है।
मसअला :– सड़क पर पानी छिड़का जा रहा था और ज़मीन से छींटें उड़ कर कपड़े पर पड़ीं तो कपड़ा नजिस न हुआ मगर धो लेना बेहतर है।
मसअला :– आदमी की खाल अगर्चे नाख़ून बराबर थोड़े पानी (यानी दह–दर–दह से कम में)पड़ जाये तो वह पानी नापाक हो गया और खुद नाख़ून गिर जाये नापाक नहीं।
मसअला :– पेशाब पाख़ाने के बा़द ढेले से इस्तिन्जा कर लिया फिर उस जगह से पसीना निकल कर कपड़े या बदन में लगा तो बदन और कपड़े नापाक न होंगे।
मसअला :– अगर पाक मिट्टी में नापाक पानी मिलाया तो नजिस हो गई।
मसअला :– अगर पाक मिट्टी में नापाक भुस मिलाया तो अगर थोड़ा हो पाक है और जो ज़्यादा हो तो जब तक सूख न जाये नापाक है।
मसअला :– कुत्ता बदन या कपड़े से छू जाये तो अगर्चे उसका जिस्म तर हो बदन और कपड़ा पाक है हाँ अगर उस के बदन पर नजासत लगी हो तो और बात है और अगर उसका लुआ़ब लगे नापाक कर देगा।
मसअला :– कुत्ता वग़ैरा किसी ऐसे जानवर ने जिसका लुआ़ब नापाक है आटे में मुहँ डाला तो अगर गुंधा हुआ था तो जहाँ उसका मुहँ पड़ा उसको अलग कर दें और बाक़ी पाक है और सूखा तो जितना तर हो गया वह फेंक दें।
मसअला :– इस्तिमाल किया हुआ पानी पाक है और नौसादर भी पाक है।
मसअला :– सूअर के अ़लावा तमाम जानवर की वह हड्डी जिस पर मुर्दार की चिकनाई न लगी हो पाक है और उनके बाल और दाँत भी पाक हैं।
मसअला :– औ़रत के पेशाब की जगह से जो रतूबत निकले पाक है। अगर कपड़े या बदन में लगे तो धोना ज़रूरी नही हाँ बेहतर है।
मसअला :– जो गोश्त सड़ गया और उस में से बदबू पैदा हो गई उसका खाना ह़राम है अगर्चे नजिस नहीं।

नजिस चीजों के पाक करने का त़रीक़ा

जो चीज़ें ऐसी हैं कि वह खुद नजिस हैं (जिनको नापाकी और नजासत कहते)हैं जैसे शराब या ग़लीज़ ऐसी चीज़ें जब तक अपनी अस्ल को छोड़कर कुछ और न हो जायें पाक नहीं हो सकतीं शराब जब तक शराब है नजिस ही रहेगी और सिरका हो जाये तो अब पाक है।
मसअला :– जिस बर्तन में शराब थी और सिरका हो गई तो वह बर्तन भी अन्दर से उतना पाक हो गया जहाँ तक उस वक़्त सिरका है। अगर बर्तन के मुहँ पर शराब की छींटें पड़ी थीं वह शराब के सिरका होने से पाक न होंगी युँही अगर शराब मुहँ तक भरी फिर कुछ गिर गई कि बर्तन थोड़ा ख़ाली हो गया उसके बाद सिरका हुई तो बर्तन के ऊपर का हिस्सा जो पहले नापाक हो चुका था

पाक न होगा अगर सिरका उससे उंडेला जायेगा तो वह सिरका भी नापाक हो जायेगा क्यूँकि बर्तन के ऊपर का हिस्सा नापाक है हाँ अगर पली, चमचा वग़ैरा से निकाल लिया जाये तो पाक है और अगर प्याज़ लहसुन शराब में पड़ गये थे तो सिरका होने के बाद पाक हो गये।

मसअ्ला :– शराब में चूहा गिर कर फूल, फट गया तो सिरका होने के बाद भी पाक न होगा और अगर फूला फटा नहीं था तो अगर सिरका होने से पहले निकाल कर फेंक दिया उसके बाद सिरका हुई तो पाक है और अगर सिरका होने के बाद निकाल कर फेंका तो सिरका भी नापाक है।

मसअ्ला :– शराब में पेशाब का क़तरा गिर गया या कुत्ते ने मुँह डाल दिया या नापाक सिरका मिला दिया तो सिरका होने के बाद भी हराम और नजिस है।

मसअ्ला :– मुसलमान के लिये शराब को ख़रीदना,मंगाना,उठाना या रखना हराम है अगर्चे सिरका करने की नियत से हो।

मसअ्ला :– नजिस जानवर नमक की खान में गिर कर नमक हो गया तो वह नमक पाक और हलाल है।

मसअ्ला :– उपले की राख पाक है और अगर राख होने से पहले बुझ गया तो नापाक है।

मसअ्ला :– जो चीज़ें ज़ाती तौर पर नजिस नहीं बल्कि किसी नजासत के लगने से नापाक हुईं उनके पाक करने के मुख़्तलिफ़ तरीक़े हैं।

पानी और हर बहने वाली पतली चीज़ से जिस से नजासत दूर हो जाये धो कर नजिस चीज़ को पाक कर सकते हैं जैसे सिरका और गुलाब कि उनसे नजासत दूर कर सकते हैं तो बदन या कपड़ा उन से धोकर पाक कर सकते हैं।

फ़ायदा :– बग़ैर ज़रूरत गुलाब और सिरके वग़ैरा से पाक करना नाजाइज़ है इसलिये कि फ़ुज़ूलख़र्ची है।

मसअ्ला :– इस्तेमाल किये पानी और चाय से धोये तो पाक हो जायेगा।

मसअ्ला :– थूक से अगर नजासत दूर हो जाये पाक हो जायेगा जैसे बच्चे ने दूध पीकर पिस्तान पर क़ै की फिर कई बार दूध पिया यहाँ तक कि उसका असर जाता रहा तो पाक हो गया और शराबी के मुँह का मसअ्ला ऊपर गुज़र चुका।

मसअ्ला :– दूध, शोरबा और तेल से धोने से पाक न होगा कि उनसे नजासत दूर न होगी।

मसअ्ला :– नजासत अगर दलदार हो (जैसे पाख़ाना,गोबर और ख़ून वग़ैरा)तो धोने में गिनती की कोई शर्त नहीं बल्कि उसको दूर करना ज़रूरी है तब पाक होगा अगर एक बार धोने से नापाकी दूर हो जाए तो एक ही मरतबा धोने से पाक हो जाएगा और अगर चार पाँच बार धोने से दूर हो तो चार पाँच बार धोना पड़ेगा हाँ अगर तीन मर्तबा से कम धोने में नजासत दूर हो जाये तो तीन बार पूरा कर लेना मुस्तहब है।

मसअ्ला :– अगर नजासत दूर हो गई मगर उसका कुछ असर रंग या बू बाक़ी है तो उसे भी दूर करना ज़रूरी है। हाँ अगर उसका असर मुश्किल से जाये तो असर दूर करने की ज़रूरत नहीं तीन बार धो लिया पाक हो गया। साबुन खटाई या गर्म पानी से धोने की ज़रूरत नहीं।

मसअ्ला :– कपड़े या हाथ में नजिस रंग लगा या नापाक मेंहदी लगाई तो इतनी बार धोयें कि

साफ़ पानी गिरने लगे तो पाक हो जायेगा अगर्चे कपड़े या हाथ पर रंग बाक़ी हो।

मसअ्ला :– ज़ाफ़रान या रंग कपड़ा रंगने के लिये घोला था उसमें किसी बच्चे ने पेशाब कर दिया या और कोई नजासत पड़ गई तो उस से अगर कपड़ा रंग लिया तो तीन बार कपड़ा धो डालें तो पाक हो जायेगा।

मसअ्ला :– गोदना कि सुई चुभोकर उस जगह सुर्मा भर देते हैं तो अगर खून इतना निकला कि बहने के क़ाबिल हो तो ज़ाहिर है कि वह खून नापाक है और सुर्मा जो उस पर डाला गया वह भी नापाक हो गया फिर उस जगह को धो डालें पाक हो जायेगी अगर्चे नापाक सुर्मे का रंग भी बाक़ी रहे यूँही ज़ख़्म में राख भर दी फिर धो लिया तो पाक हो गया अगर्चे रंग बाक़ी हो।

मसअ्ला :– कपड़े या बदन में नापाक तेल लगा था तो तीन बार धो लेने से पाक हो जायेगा अगर्चे तेल की चिकनाई मौजूद हो। इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं कि साबुन या गर्म पानी से धोयें लेकिन अगर मुर्दार की चरबी लगी थी तो जब तक उसकी चिकनाई न जाये पाक न होगा।

मसअ्ला :– अगर निजासत पतली हो तो तीन बार धोने और तीन बार ज़ोर से निचोड़ने से पाक होगा और ज़ोर के साथ निचोड़ने का मतलब यह है कि वह शख़्स अपनी ताक़त भर इस तरह निचोड़े कि अगर फिर निचोड़े तो उससे कोई क़तरा न टपके अगर कपड़े का ख़्याल करके अच्छी तरह नहीं निचोड़ा तो पाक न होगा।

मसअ्ला :– अगर धोने वाले ने अच्छी तरह निचोड़ लिया मगर अभी ऐसा है कि अगर कोई दूसरा शख़्स जो ताक़त में उससे ज़्यादा है निचोड़े तो दो एक बुँद टपक सकती है तो धोने वाले के हक़ में पाक और इस दूसरे के हक़ में नापाक है इस दूसरे की ताक़त का एअ्तेबार नहीं है हाँ अगर यह धोता और उसी क़द्र निचोड़ता तो पाक न होता।

मसअ्ला :– पहली और दूसरी बार निचोडने के बाद हाथ पाक कर लेना ज़रूरी है और जो कपड़े में इतनी तरी रह गई हो कि निचोड़ने से एक आध बूँद टपकेगी तो कपड़ा और हाथ दोनों नापाक हैं।

मसअ्ला :– पहली या दूसरी बार हाथ पाक नहीं किया और उसकी तरी से कपड़े का पाक हिस्सा भीग गया तो यह भी नापाक हो गया फिर अगर पहली बार निचोड़ने के बाद भीगा है तो उसे दो बार धोना ज़रूरी है और दूसरी बार निचोड़ने के बाद हाथ की तरी से भीगा है तो एक बार धोया जाये। यूँही उस से जो एक बार धोकर निचोड़ लिया गया है कोई पाक कपड़ा भीग जाये तो यह दूसरा कपड़ा दो बार धोया जाये और अगर दूसरी बार निचोड़ने के बाद उससे वह कपड़ा भीगा तो एक बार धोने से पाक हो जायेगा।

मसअ्ला :– कपड़ा कि तीन बार धोकर हर बार खूब निचोड़ लिया है कि अब निचोड़ने से न टपकेगा फिर उसको लटका दिया और उससे पानी टपका तो यह पानी पाक है और अगर खूब नहीं निचोड़ा था तो यह पानी नापाक है।

मसअ्ला :– दूध पीते लड़के और लड़की का एक ही हुक्म है कि उनका पेशाब कपड़े या बदन में लगा है तो तीन बार धोना और निचोड़ना पड़ेगा।

मसअ्ला :– जो चीज़ निचोड़ने के क़ाबिल नहीं है (जैसे चटाई, बर्तन और जूता वग़ैरा) उसको धोकर छोड़ दें कि पानी टपकना रुक जाये यूँही दो मरतबा और धोयें तीसरी मरतबा जब पानी

टपकना बन्द हो गया तो वह चीज़ पाक हो गई। उसे हर बार धोने के बाद सुखाना ज़रूरी नहीं,यूँही जो कपड़ा बहुत नाज़ुक होने की वजह से निचोड़ने के क़ाबिल नहीं उसे भी ऐसे ही पाक किया जायेगा।

मसअ्ला :– अगर ऐसी चीज़ हो कि उस में नजासत जज़्ब न हुई जैसे चीनी के बर्तन या मिट्टी का पुराना इस्तेमाली चिकना बर्तन या लोहे, ताँबे पीतल वग़ैरा धातों की चीज़ें तो उसे सिर्फ़ तीन बार धो लेना काफ़ी है इसकी भी ज़रूरत नहीं कि उसे इतनी देर छोड़ दें कि पानी टपकना रुक जाये।

मसअ्ला :– नापाक बर्तन को मिट्टी से माँझ लेना बेहतर है।

मसअ्ला :– पकाया हुआ चमड़ा अगर नापाक हो गया तो अगर उसे निचोड़ सकते हैं तो निचोड़ें नहीं तो तीन बार धोयें और हर बार इतनी देर तक छोड़ दें कि पानी टपकना बन्द हो जाये।

मसअ्ला :– दरी टाट या कोई नापाक कपड़ा बहते पानी में रात भर पड़ा रहने दें तो पाक हो जायेगा और अस्ल यह है कि जितनी देर में यह ग़ालिब गुमान हो जाये कि पानी से नजासत बह गई तो पाक हो गया बहते पानी से पाक करने में निचोड़ना शर्त नहीं।

मसअ्ला :– कपड़े का कोई हिस्सा नापाक हो गया और यह याद नहीं कि वह कौन सी जगह है तो बेहतर यही है कि पूरा ही धो डालें (यानी जब बिल्कूल न मालूम हो कि किस हिस्से में नापाकी लगी है और अगर मालूम है कि जैसे आस्तीन या कली नजिस हो गई मगर यह नहीं मालूम कि आस्तीन या कली का कौन सा हिस्सा है तो आस्तीन या कली का धो लेना ही पूरे कपड़े का धोना है) और अगर अन्दाज़ से सोचकर उसका कोई हिस्सा धो लें जब भी पाक हो जायेगा और जो बिला सोचे हुये कोई टुकड़ा धो लिया जब भी पाक है मगर इस सूरत में अगर चन्द नमाज़ें पढ़ने के बाद मालूम हो कि नजिस हिस्सा नहीं धोया गया तो फिर धोये और नमाज़ें लौटाये और जो सोच कर धो लिया था और बाद को ग़लती मालूम हुई तो अब धो ले लेकिन नमाज़ों के लौटाने की ज़रूरत नहीं।

मसअ्ला :– यह ज़रूरी नहीं कि एक दम तीनों बार धोयें बल्कि अलग–अलग वक़्तों बल्कि अलग–अलग दिनों में यह तादाद पूरी की जाये जब भी पाक हो जायेगा।

मसअ्ला :– लोहे की चीज़ जैसे चाकू तलवार और छुरी वग़ैरा जिसमें न ज़ंग हो और न बेल, बूटे बने हों अगर उसमें नजासत लग जाये तो अच्छी तरह पोंछ डालने से वह छुरी या इस क़िस्म की दूसरी चीज़ें पाक हो जायेंगी और इस सूरत में नजासत के दलदार या पतली होने में कुछ फ़र्क़ नहीं। इसी तरह चाँदी, सोने, पीतल, गिलट और हर क़िस्म की धात की चीज़ें पोंछने से पाक हो जाती हैं। मगर शर्त यह है कि नक़्शी न हों और अगर नक़्शी हों या लोहे में ज़ंग हो तो धोना ज़रूरी है पोंछने से पाक न होगी।

मसअ्ला :– आईना और शीशे की तमाम चीज़ें और चीनी के बर्तन या मिट्टी के रोग़नी बर्तन या पालिश की हुई लकड़ी ग़र्ज़ कि वह तमाम चीज़ें जिनमें सुराख़ न हों कपड़े या पत्ते से इस क़द्र पोंछ ली जायें कि नजासत का असर बिल्कुल जाता रहे तो पाक हो जाती हैं।

मसअ्ला :– मनी अगर कपड़े में लग कर सूख जाये तो सिर्फ़ मलकर झाड़ने और साफ़ करने से कपड़ा पाक हो जायेगा अगर्चे मलने के बाद उसका कुछ असर कपड़े में बाक़ी रह जाये

इस मसअ्ले में औरत, मर्द, इन्सान ,हैवान तन्दुरुस्त और जिरयान के मरीज़ सब की मनी का एक ही हुक्म है।

मसअ्ला :– बदन में अगर मनी लग जाये तो भी इसी तरह पाक हो जायेगा।

मसअ्ला :– पेशाब कर के तहारत न की पानी से न ढेले से और मनी उस जगह पर गुज़री जहाँ पेशाब लगा हुआ है तो यह मलने से पाक न होगी बल्कि धोना ज़रूरी है अगर तहारत कर चुका था या मनी जस्त करके यानी कूद कर निकली कि उस नजासत की जगह पर न गुज़री तो मलने से पाक हो जायेगी।

मसअ्ला :– जिस कपड़े को मलकर पाक कर लिया अगर वह पानी से भीग जाये तो नापाक न होगा।

मसअला :– अगर मनी कपड़े में लगी है और अब तक तर है तो धोने से पाक होगा मलना काफ़ी नहीं। यानी जब मनी सूख जाए तो मल कर पाक कर सकते हैं और तर होने की हालत में कपड़ा या बदन पाक करना है तो धोना ज़रूरी है।

मसअ्ला :– चमड़े वाले मोज़े या जूते में दलदार नजासत लगी जैसे पाख़ाना गोबर या मनी तो अगर्चे वह नजासत तर हो खुरचने और रगड़ने से पाक हो जायेगा।

मसअ्ला :– और अगर पेशाब की तरह कोई पतली नजासत चमड़े वाले जूते या चमड़े वाले मोज़े में लगी हो और उस पर मिट्टी या राख या रेता वग़ैरा डाल कर रगड़ डालें जब भी पाक हो जायेगी और अगर ऐसा न किया यहाँ तक कि वह नजासत सूख गई तो अब बे–धोये पाक न होगी।

मसअ्ला :– अगर नापाक ज़मीन सूख जाये और नजासत का असर यानी रंग और बू जाती रहे तो पाक हो जायेगी चाहे वह हवा से सूखी हो या धूप या आग से मगर उससे तयम्मुम करना जाइज़ नहीं अलबत्ता उस पर नमाज़ पढ़ सकते हैं।

मसअ्ला :– जिस कुँए में नापाक पानी हो और वह कुँआ सूख जाये तो पाक हो जायेगा।

मसअ्ला :– पेड़,पौधे,घास,दीवार और ऐसी ईंट जो ज़मीन में जड़ी हो सूखने के बाद पाक हो जाती है और अगर ईंट ज़ड़ी न हो तो सूखने से पाक न होगी बल्कि धोना ज़रूरी हैं। इसी तरह नापाक दरख़्त या नापाक घास सूखने से पहले काट लीं तो पाक करने के लिए धोना ज़रूरी है।

मसअ्ला :– अगर पत्थर ऐसा हो कि ज़मीन से जुदा न हो सके तो ख़ुश्क होने से पाक है नहीं तो धोने की ज़रूरत है।

मसअ्ला :– चक्की का पत्थर सूख जाने से पाक हो जायेगा ।

मसअ्ला :– कंकरी जो ज़मीन के ऊपर है सूखने से पाक न होगी, और जो ज़मीन में चिपकी हुई हो वह ज़मीन के हुक्म में है।

मसअ्ला :– जो चीज़ ज़मीन से लगी हुई थी और नजिस हो गई फिर सूखने के बाद अलग की गई तो अब भी पाक ही है।

मसअ्ला :– अगर किसी ने नापाक मिट्टी से बर्तन बनाये तो जब तक कच्चे हैं नापाक हैं लेकिन पकाने के बाद पाक हो जायेंगे।

मसअ्ला :– तन्दूर या तवे पर नापाक पानी का छींटा डाला और आँच से उसकी तरी जाती रही अब उसमें जो रोटी पकाई गई पाक है।

मसअ्ला :– उपले जलाकर खाना पकाने को लोग मकरूह कहते हैं मगर ऐसा नहीं है बल्कि उपले जलाकर खाना पकाना जाइज़ है। जो चीज़ सूखने या रगड़ने से पाक हो गई उसके बाद भीग गई तो नापाक न होगी।

मसअ्ला :– सुअर के अ़लावा हर जानवर चाहे वह हलाल या हराम हो जब कि ज़िबह करने के क़ाबिल हो और बिस्मिल्लाह कह कर ज़िबह किया गया हो तो उसका गोश्त और खाल पाक है कि नमाज़ी के पास अगर वह गोश्त है या उसकी खाल पर नमाज़ पढ़ी तो नमाज़ हो जायेगी मगर हराम जानवर ज़िबह करने से हलाल न होगा बल्कि हराम ही रहेगा।

मसअ्ला :– सुअर के सिवा हर मुर्दार जानवर की खाल सुखाने से पाक हो जाती है चाहे उसको खारी नमक वग़ैरा किसी दवा से पकाया हो या सिर्फ़ धूप या हवा में सुखा लिया हो और उसकी तमाम रतूबत ख़त्म होकर बदबू जाती रही हो तो इन दोनों सूरतों में पाक हो जायेगी और उस पर नमाज़ जाइज़ होगी।

मसअ्ला :– दरिन्दे की खाल अगर्चे पकाली गई हो, न तो उस पर बैठना चाहिए और न उस पर नमाज़ पढ़नी चाहिये क्योंकि इससे मिज़ाज में सख़्ती और गुरूर पैदा होता है। बकरी और मेंढे की खाल पर बैठने और पहनने से मिज़ाज में नर्मी और आ़जिज़ी पैदा होती है। कुत्ते की खाल अगर्चे पकाली गई हो या वह ज़िबह कर लिया गया हो इस्तिअ्माल में न लाना चाहिए कि इमामों का इस में इख़्तिलाफ़ और लोगों को इस से नफ़रत है इसलिए इस से बचना ही ठीक है।

मसअ्ला :– रूई का अगर इतना हिस्सा नजिस है कि उसे धुनने से उड़ जाने का सही गुमान हो तो रूई धुनने से पाक हो जायेगी नहीं तो बिना धोये पाक न होगी। हाँ अगर यह पता न हो कि रूई कितनी नजिस है तो भी धुनने से पाक हो जायेगी।

मसअ्ला :– ग़ल्ला जब पैर में हो और उसके निकालते वक़्त बैलों ने उस पर पेशाब किया तो अगर ग़ल्ला चन्द शरीकों में तक़सीम हुआ या उसमें से मज़दूरी दी गई या ख़ैरात की तो सब पाक हो गया और अगर ग़ल्ला सब का सब उसी तरह मौजूद है तो नापाक है अगर उसमें से इस क़द्र धोकर पाक कर लें कि जिसमें यह एहतेमाल (शक) हो सके कि इससे ज़्यादा नजिस न होगा तो सब पाक हो जायेगा।

मसअ्ला :– रांग और सीसा पिघलाने से पाक हो जाता है।

मसअ्ला :– जमे हूए घी में चूहा गिर कर मर गया तो चूहे के आस पास का घी निकाल डालें बाक़ी पाक है उसे खा सकते हैं और अगर पतला है तो सब नापाक हो गया उसका खाना जाइज़ नहीं अलबत्ता उसे ऐसे काम में ला सकते हैं कि जिसमें नजिस चीज़ों का इस्तेमाल मना न हो और तेल का भी यही हुक्म है।

मसअ्ला :– शहद नापाक हो जाये तो उसके पाक करने का तरीक़ा यह है कि उससे ज़्यादा पानी डालकर इतना जोश दें कि शहद जितना था उतना ही रह जाये तीन बार ऐसा ही करें पाक हो जायेगा।

मसअ्ला :– नापाक तेल के पाक करने का तरीक़ा यह है कि उसमें उतना ही पानी डालकर ख़ूब हिलायें फिर ऊपर से तेल निकाल लें और पानी फेंक दें यूँ ही तीन बार करें या उस बर्तन में नीचे

सूराख कर दें कि पानी बह जाये और तेल रह जाये ऐसे भी तीन बार में पाक हो जायेगा या ऐसा करें कि उतना ही पानी डाल कर उस तेल को पकायें यहाँ तक कि पानी जल जाये और तेल रह जाये यूँही तीन बार में पाक हो जायेगा और ऐसे भी कर सकते हैं कि पाक तेल या पानी दूसरे बर्तन में रखकर इस नापाक और उस पाक दोनों की धार मिलाकर ऊपर से गिरायें मगर इसमें यह ज़रूर ध्यान रखें कि नापाक की धार उसकी धार से किसी वक़्त अलग न हो और न उस बर्तन में कोई नापाक क़तरा पहले से पहुँचा हो और न बाद को नहीं तो फिर नापाक हो जायेगा।

बहती हुई आम चीज़ें घी वग़ैरा के पाक करने के भी यही तरीक़े हैं। और अगर घी जमा हो उसे पिघलाकर उन्हीं तरीक़ों में से किसी तरीक़े पर पाक करें और एक तरीक़ा इन चीज़ों के पाक करने का यह भी है कि परनाले के नीचे कोई बरतन रखें और छत पर से उसी जिन्स की पाक चीज़ पानी के साथ इस तरह मिलाकर बहायें कि परनाले से दोनों धारें एक हो कर गिरें सब पाक हो जायेगा या उसी जिन्स या पानी से उबाल लें पाक हो जायेगा।

मसअ्ला :– जानमाज़ में हाथ पांव पेशानी और नाक रखने की जगह का नमाज़ पढ़ने में पाक होना ज़रूरी है बाक़ी जगह अगर निजासत हो नमाज़ में हरज नहीं। हाँ नमाज़ में नजासत के क़ुर्ब से बचना चाहिए।

मसअ्ला :– किसी कपड़े में निजासत लगी और वह निजासत उसी तरफ़ रह गई दूसरी तरफ़ उसने असर नहीं किया तो उसको लौट कर दूसरी तरफ़ जिधर नजासत नहीं लगी है नमाज़ नहीं पढ़ सकते अगर्चे कितना ही मोटा हो मगर जबकि वह नजासत मवाज़ेए सूजूद(सजदे वाली जगहों) से अलग हो तो पढ़ सकते हैं।

मसअला :– जो कपड़ा दो तह का है अगर एक तह उसकी नजिस हो जाए तो अगर दोनों मिलाकर सी लिए गए हों तो दूसरी तह पर नमाज़ जाइज़ नहीं और अगर सिले न हों तो जाइज़ है।

मसअला :– लकड़ी का तख़्ता एक रुख़ से नजिस हो गया तो अगर इतना मोटा है कि मोटाई में चिर सके तो लौट कर उस पर नमाज़ पढ़ सकते हैं वर्ना नहीं।

मसअला :– जो ज़मीन गोबर से लेसी गई अगर्चे सूख गई हो उस पर नमाज़ जाइज़ नहीं। हाँ अगर वह सूख गई और उस पर कोई मोटा कपड़ा बिछा लिया तो उस पर नमाज़ पढ़ सकते हैं अगर्चे कपड़े में तरी हो मगर इतनी तरी न हो कि ज़मीन भीग कर उस को तर कर दे कि इस सूरत में यह कपड़ा नजिस हो जायेगा और नमाज़ न होगी।

मसअ्ला :– आँखों में नापाक सुर्मा या काजल लगाया या फैल गया तो धोना वाजिब है और अगर आँखों के अन्दर ही हो बाहर न लगा हो तो मुआफ़ है।

मसअला :– किसी दूसरे मुसलमान के कपड़े में निजासत लगी देखी और ग़ालिब गुमान है कि उस को ख़बर करेगा तो पाक कर लेगा तो ख़बर करना वाजिब है।

मसअला :– फ़ासिक़ों के इस्तेअ्माली कपड़े जिनका नजिस होना मालूम न हो पाक समझे जायेंगे मगर बेनमाज़ी के पाजामे वग़ैरा में एहतियात यही है कि रुमाली पाक कर ली जाए क्यूँकि अकसर बेनमाज़ी पेशाब करके वैसे ही पाजामा बांध लेते हैं और कुफ़्फ़ार के इन कपड़ों के पाक करने में तो बहुत ख़्याल करना चाहिए।

इस्तिन्जे का बयान

अल्लाह तआला फ़रमाता है :–

فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ٥

तर्जमा :– "उस मस्जिद यानी मस्जिदे कुबा शरीफ़ में ऐसे लोग हैं जो पाक होने को पसन्द रखते हैं और अल्लाह दोस्त रखता है पाक होने वालों को"।

हदीस न.1 :– इब्ने माजा में अबू अय्यूब, जाबिर और अनस रदियल्लाहु तआला अन्हुम से रिवायत है कि जब यह आयत शरीफ़ नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ऐ गिरोहे अनसार अल्लाह तआला ने तहारत (पाकी) के बारे में तुम्हारी तारीफ़ की तो बताओ तुम्हारी तहारत क्या है?उन्होंने अर्ज़ किया कि नमाज़ के लिये हम वुज़ू करते हैं,जनाबत से गुस्ल करते हैं और हम पाख़ाना करके पहले तीन ढेलों से जगह को पाक करते हैं उसके बाद फिर पानी से इस्तिन्जा करते हैं। फ़रमाया तो वह यही है इसको करते रहो।

हदीस न.2 :– अबू दाऊद और इब्ने माजा ज़ैद इब्ने अरक़म रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि यह पाख़ाने (लैट्रीनें)जिनों और शैतानों के हाज़िर रहने की जगह हैं तो जब कोई पाख़ाने को जाये तो यह दुआ पढ़ ले :–

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

अऊज़ु बिल्लाहि मिनल ख़ुबसि वल ख़बाइसि

तर्जमा :– मैं अल्लाह की पनाह माँगता हूँ पलीदी और शैतानों से।

हदीस न.3 :– बुखारी शरीफ़ और मुस्लिम शरीफ़ में यह दुआ इस तरह है

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल ख़ुबसि वल ख़बाइसि

तर्जमा :– ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह माँगता हूँ पलीदी और (नापाकी)और शैतानों से।"

हदीस न.4 :– अमीरुल मोमिनीन हज़रते अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से इस तरह रिवायत है कि जिन्नात की आँखों और औलादे आदम के सतर में पर्दा यह है, कि जब पाख़ाने को जाये तो कह ले

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

हदीस न.5 :– तिर्मिज़ी इब्ने माजा और दारमी उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब बैतुलख़ला से बाहर आते तो यूँ फ़रमाते :– غُفْرَانَكَ गुफ़रानाका

तर्जमा :– अल्लाह से मग़फ़िरत का सवाल करता हूँ।

हदीस न.6 :– इब्ने माजा की रिवायत हज़रते अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से इस तरह है कि जब हुज़ूर बैतुलख़ला से तशरीफ़ लाते तो यह फ़रमाते :–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنِّی الْاَذٰی وَ عَافَانِیْ

अललहम्दु लिल्लाहिल लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी

तर्जमा :– "हम्द है अल्लाह के लिए जिसने अज़ीयत(तकलीफ़)की चीज़ मुझ से दूर कर दी और मुझे आफ़ियत(आराम)दी।

हदीस न.7 :– हिस्ने हसीन में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस तरह इरशाद फ़रमाते :–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَخْرَجَ مِنْ بَطْنِیْ مَا یَضُرُّنِیْ وَ اَبْقٰی فِیْهِ مَا یَنْفَعُنِیْ

अललहम्दु लिल्लाहिल लज़ी अख़रजा मिम बतनी मा यदुर्रूनी व अब्क़ा फ़ीहि मा यन फ़उनी

तर्जमा :– "तारीफ़ है अल्लाह के लिये जिसने मेरे पेट से वह चीज़ निकाल दी जो मुझे तकलीफ़ देती और वह चीज़ बाक़ी रखी जो मुझे नफ़ा देगी"।

हदीस न.8 :– कई किताबों में बहुत से सहाबए किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब पाखानों को जाओ तो क़िब्ले को न मुँह करो और न पीठ और उज़्वे तनासुल (पेशाब की जगह) को दाहिने हाथ से इस्तिन्जा करने से मना फ़रमाया।

हदीस न.9 :– अबू दाऊद, तिर्मिज़ी और नसई अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब बैतुलख़ला को जाते तो अगूँठी उतार लेते कि उसमें नामे मुबारक खुदा था।

हदीस न.10 :– अबू दाऊद और तिर्मिज़ी ने उन्हीं से रिवायत की कि जब हुज़ूर क़ज़ाये हाजत का इरादा फ़रमाते तो कपड़ा न हटाते जब तक कि ज़मीन से क़रीब न हो जाते।

हदीस न.11 :– अबू दाऊद जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर जब क़ज़ाये हाजत को तशरीफ़ ले जाते तो इतनी दूर जाते कि उन्हें कोई न देखता ।

हदीस न.12 :– हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से तिर्मिजी और नसई ने रिवायत की कि हुज़ुर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि गोबर और हड्डियों से इस्तिन्जा न करो कि वह तुम्हारे भाईयों जिन्नों की ख़ुराक है और अबू दाऊद की एक रिवायत में कोयले से भी इस्तिन्जा मना फ़रमाया।

हदीस न 13 :– अबू दाऊद ,तिर्मिज़ी और नसई अब्दुल्लाह इब्ने मिग़फ़ल रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि कोई गुस्लख़ाने में पेशाब न करे फिर उसमें नहाये या वुज़ू करे कि अक्सर वसवसे उस से होते हैं।

हदीस न14 :– अबू दाऊद और नसई अब्दुल्लाह इब्ने सरजिस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर ने सूराख़ में पेशाब करने से मना फ़रमाया।

हदीस न.15 :– अबू दाऊद और इब्ने माजा मआज़ रदियल्लाहु तआला अन्हु से बयान करते हैं कि

हुजूर ने फरमाया कि तीन चीजें जो लअ्नत का सबब हैं उन से बचो वह तीन चीजें यह है 1. घा पर पेशाब करने से। 2 बीच रास्ते में पेशाब करने से 3. और पेड़ के साये में पेशाब करने से
हदीस न 16 – इमामे अहमद तिर्मिजी और नसई उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत करते है कि वह फरमाती है कि जो शख्स तुम से यह कहे कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खड़े हो कर पेशाब करते थे तो तुम उसे सच्चा न जानो हुजूर नही पेशाब फरमाते मगर बैठ कर।
हदीस न 17 – इमाम अहमद, अबू दाऊद और इब्ने माजा अबू सईद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो आदमी पाखाने को जायें और सत्र खोल कर बातें करें तो अल्लाह उन पर गजब फरमाता है।
हदीस न 18 – बुख़ारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दो कब्रों पर गुजर फरमाया तो यह फरमाया कि उन दोनों को अजाब होता है और किसी बड़ी बात में अजाब नही दिए जा रहे है उन में से एक पेशाब की छींट से नहीं बचता था और दूसरा चुगली खाता फिर हुजूर ने खजूर की एक तर शाख ले कर उसके दो हिस्से किए और हर कब्र पर एक एक टुकड़ा गाड दिया सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह यह क्यूँ किया फरमाया इस उम्मीद पर कि जब तक यह खुश्क न हो उन पर अजाब में तखफीफ (कमी)हो
नोट – इस हदीस से पता चलता है कि कब्रों पर फूल डालना जाइज है कि फूल भी जब तक हरे भरे रहेंगे अजाब हल्का होगा और इनकी तस्बीह से मय्यत का दिल बहलता है।

इस्तिन्जे के मुतअल्लिक मसाइल

मसअ्ला – जब आदमी पाखाने को जाये तो मुस्तहब है कि पाखाने से बाहर यह पढ़ ले :–

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊजु बिका मिनल खुबसि वल खबाइसि
तर्जमा – "ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह माँगता हूँ नापाकी और शैतानों से"। फिर बायाँ पाँव दाखिल करे और निकलते वक्त पहले दाहिना पाँव बाहर निकाले और बाहर निकल कर यह पढ़े :–

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیۡ اَذْهَبَ عَنِّیۡ مَا يُؤْذِيۡنِیۡ وَ اَمْسَكَ عَلَیَّ مَا يَنْفَعُنِیۡ

गुफरानाका अल्लहम्दु लिल्ला हिल्लजी अजहबा अन्नी मा युअ्जीनी व अम सिका अलय्या मा यन फउनी
तर्जमा – "अल्लाह से मगफिरत का सवाल करता हूँ हम्द है अल्लाह के लिए उसने मेरे पेट से वह चीज निकाली जो मुझे तकलीफ देती और वह चीज रोकी जो मुझे नफा देगी"।
मसअ्ला – पाखाना या पेशाब फिरते वक्त या तहारत करने में या किसी वक्त शर्मगाह खुली हो तो न किब्ले की तरफ मुँह हो और न पीठ हो और यह आम हुक्म है चाहे मकान के अन्दर हो या मैदान में अगर भूल से किब्ले की तरफ मुँह, पीठ कर के बैठ गया तो याद आते ही फौरन रुख बदल दे कि इस में उम्मीद है कि फौरन उस के लिये मगफिरत कर दी जाये।
मसअला – बच्चे को पाखाना पेशाब फिराने वाले को मकरूह है कि उस बच्चे का मुँह किब्ले को हो यह फिराने वाला गुनाह गार होगा।
मसअला – पाखाना पेशाब करते वक्त सूरज और चाँद की तरफ न मुँह हो न पीठ। ऐसे ही हवा

के रूख पेशाब करना मना है।

मसअ्ला :– कुँए,हौज़ या चश्में के किनारे या पानी में अगर्चे बहता हुआ हो या घाट पर या फलदार पेड़ के नीचे या उस खेत में जिस में खेती मौजूद हो या साये में जहाँ लोग उठते बैठते हो या मस्जिद या ईदगाह के क़रीब में या क़ब्रिस्तान या रास्ते में या जिस जगह पर मवेशी बंधे हों इन सब जगह में पेशाब पाख़ाना मकरूह है यूँ ही जिस जगह वुज़ू या ग़ुस्ल किया जाता हो वहाँ पेशाब करना मकरूह है।

मसअ्ला :– खुद नीची जगह बैठना और पेशाब की धार ऊँची जगह गिरना यह मना।

मसअ्ला :– ऐसी सख़्त ज़मीन पर जिस से पेशाब की छींटे उड़ कर आयें पेशाब करना मना है ऐसी जगह को कुरेद कर नर्म कर लेना चाहिये या गढ्ढा खोद कर पेशाब करना चाहिए।

मसअ्ला :– खड़े हो कर या लेट कर या नंगे हो कर पेशाब करना मकरूह है।

मसअ्ला :– नंगे सर पाख़ाना पेशाब को जाना या अपने साथ कोई ऐसी चीज ले जाना जिस पर कोई दुआ या अल्लाह और रसूल या किसी बुजुर्ग का नाम लिखा हों मना है युँही बात करना भी मकरूह है।

मसअ्ला :– जब तक बैठने के क़रीब न हो बदन से कपड़ा न हटाये और न ज़रूरत से ज़्यादा बदन खोले फिर दोनों पाँव फैला कर बायें पैर पर ज़ोर दे कर बैठे और किसी दीनी मसअ्ले में ग़ौर न करे कि यह महरूमी का सबब है और छींक या सलाम या अज़ान का जवाब ज़ुबान से न दे और अगर छींके तो अल्हम्दु ल्लिलाह ज़ुबान से न कहे हाँ दिल में कह ले और बिला ज़रूरत शर्मगाह की त़रफ़ न देखे और न उस नजासत को देखे जो उसके अपने बदन से निकली है और देर तक न बैठे कि इस से बवासीर का ख़त़रा है और पेशाब में न थूके और न नाक साफ़ करे न बिला ज़रूरत खंकारे न बार बार इधर उधर देखे न बेकार बदन छुये,न आसमान की त़रफ़ देखे बल्कि शर्म के साथ सर झुकाये रहे। जब फ़ारिग़ हो जाये तो मर्द बायें हाथ से अपने आले को जड़ की त़रफ़ से सर की त़रफ़ सूँते कि जो क़तरे रुके हुये हैं सब निकल जायें फिर डेलों से साफ़ कर के खड़ा हो जाये और सीधा खड़ा होने से पहले बदन छुपा ले जब क़तरों का आना रुक जाये तो किसी दूसरी जगह पाक करने के लिए बैठे और पहले तीन–तीन बार दोनों हाथ धोले और इस्तिन्जा ख़ाने में जाने से पहले यह दुआ पढ़े ।

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهٖ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ الَّذِيْنَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

बिस्मिल्लाहिल अ़ज़ीमि व बिहम्दिही वल ह़म्दु लिल्लाहि अ़ला दीनिल इस्लामि अल्लाहुम्मज अ़लनी मिनत्तव्वा बीन वज अ़लनी मिनल मुता़ तहि्हरीनल्ल–ज़ीना़ ला ख़ौफून अ़लैहिम वलाहुम यहज़नून 0

तर्जमा :– "अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा है और उसी की ह़म्द है ख़ुदा का शुक्र कि मैं दीने इस्लाम पर हूँ। ऐ अल्लाह! तू मुझे तौबा करने वालों और पाक लोगों में से कर दे जिन पर न ख़ौफ़ है और न वह ग़म करेंगे।

फिर दाहिने हाथ से पानी बहाये और बायें हाथ से धोये और पानी का लोटा ऊँचा रखे कि

छींटें न पड़ें और पहले पेशाब की जगह धोये फ़िर पाख़ाने का मक़ाम धोये और पाक करने के वक़्त पाखाने का मक़ाम साँस का ज़ोर नीचे को देकर ढीला रखे और खूब अच्छी तरह धोयें कि धोने के बाद हाथ में बदबू बाक़ी न रह जाये फ़िर किसी पाक कपड़े से पोंछ डाले और अगर पास में कपड़ा न हो तो बार बार हाथ से पोंछे। अगर हल्की सी तरी रह भी जाये तो कोई हरज़ नहीं और अगर वसवसे का ग़ल्बा हो तो रूमाली पर पानी छिड़क ले फ़िर उस जगह से बाहर आकर यह दुआ पढ़े

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوْرًا وَّ الْاِسْلَامَ نُوْرًا وَّ قَائِدًا وَ دَلِيْلًا اِلَى اللّٰهِ وَ اِلٰى جَنَّاتِ النَّعِيْمِ اَللّٰهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِیْ وَ طَهِّرْ قَلْبِیْ وَ مَحِّصْ ذُنُوْبِیْ

अलहम्दु लिल्ला हिल्लज़ी जअ़लल माअ़ तहुरंव वल इस्लामु नूरंव व क़ाइदवं व दलीलन इलल्लाहि व इला जन्नातिन्नईमि अल्लाहुम्मा हस्सिन फरजी व तहिहर क़ल्बी व महिहस जुनुबी।

तर्जमा :– "हम्द है अल्लाह के लिये जिसने पानी को पाक करने वाला और इस्लाम को नूर और खुदा तक पहुँचाने वाला और जन्नत का रास्ता बताने वाला किया। ऐ अल्लाह! तू मेरी शर्मगाह को महफ़ूज़ रख मेरे दिल को पाक कर और मेरे गुनाह दूर कर।"

मसअ्ला :– आगे या पीछे से जब नजासत निकले तो ढेलों से इस्तिन्जा करना सुन्नत है और अगर सिर्फ़ पानी ही से धोलिया तो भी जाइज़ है मगह मुस्तहब यह है कि ढेले लेने के बाद पानी से धोये

मसअ्ला :– आगे और पीछे से पेशाब और पाख़ाने के सिवा कोई और नजासत जैसे खून पीप वग़ैरा निकले या उस जगह बाहर से कोई नजासत लग जाये तो भी ढेले से साफ़ कर लेने से तहारत हो जायेगी जबकि उस जगह से अलग न हो मगर धो डालना मुस्तहब है।

मसअ्ला :– ढेलों की कोई मुकर्रर गिन्ती सुन्नत नहीं बल्कि जितने से सफ़ाई हो जाये तो अगर एक से सफ़ाई होगई तो सुन्नत अदा होगई और अगर तीन ढेले लिए और फिर सफ़ाई न हुई तो सुन्नत अदा न होगी। अलबत्ता मुस्तहब यह है कि ढेले ताक़ (विषम)हों और कम से कम तीन हों तो अगर एक या दो से सफ़ाई हो जाये तो तीन की गिन्ती पूरी कर ले और अगर चार से सफ़ाई हो जाये तो एक और बढ़ा ले कि ताक़ ढेले हो जायें।

मसअ्ला :– ढेलों से पाकी उस वक़्त होगी कि नजासत से नजासत निकलने की जगह या उस के आसपास की जगह एक दिरहम से ज़्यादा न सनी हो और अगर एक दिरहम से ज़्यादा सन जाये तो धोना फ़र्ज़ है मगर ढेले लेना अब भी सुन्नत है।

मसअला :– कंकर पत्थर और फटा हुआ कपड़ा यह सब ढेले के हुक्म में है इन से भी साफ़ करना जाइज़ है मकरूह नहीं। दीवार से भी इस्तिन्ज़ा सुखाया जा सकता है मगर बशर्ते कि वह दूसरे की दीवार न हो। अगर दीवार दूसरे की हो या वक़्फ़ हो तो उससे इस्तिन्जा करना मकरूह है और अगर कर लिया तो पाकी हासिल हो जायेगी। अगर किसी के पास किराये का मकान है तो उसकी दीवार से इस्तिन्जा सुखा सकता है।

मसअ्ला :– पराई दीवार से इस्तिन्जे के ढेले लेना जाइज़ नहीं अगर्चे वह मकान उसके किराये में हो।

मसअ्ला :– हड्डी, और खाने और गोबर, पक्की ईट,ठींकरी, शीशा, कोयला, जानवर के चारे से और ऐसी चीज़ से जिसकी कुछ क़ीमत हो अगर्चे एक आध पैसा हो इन चीज़ों से इस्तिन्जा किया मकरूह है।

मसअला :– काग़ज़ से इस्तिन्जा मना है अगरचे उस पर कुछ लिखा न हो या अबूजहल ऐसे काफ़िर का नाम लिखा हो।

मसअला :– दाहिने हाथ से इस्तिन्जा करना मकरूह है अगर किसी का बायाँ हाथ बेकार हो गया हो तो उसके लिए दाहिने हाथ से इस्तिन्जा करना जाइज़ है।

मसअला :– पेशाब के आले को दाहिने हाथ से छूना या दाहिने हाथ में ढेला लेकर उससे इस्तिन्जा करना मकरूह है जिस ढेले से एक बार इस्तिन्जा कर लिया उसे दोबारा काम में लाना मकरूह है मगर दूसरी करवट उसकी साफ़ हो तो उससे कर सकते हैं।

मसअला :– पाखाने के बाद मर्द के लिये ढेलों के इस्तेमाल का मुस्तहब तरीक़ा यह है कि गर्मी के मौसम में पहला ढेला आगे से पीछे को ले जाये और दूसरा पीछे से आगे की तरफ़ और तीसरा आगे से पीछे की तरफ़ ले जाये। और जाड़ों में पहला पीछे से आगे को और दूसरा आगे से पीछे को और तीसरा पीछे से आगे को ले जाए।

मसअला :– औरत पाख़ाने के बाद हर ज़माने में उसी तरह ढेले से इस्तिन्जा करे जैसे मर्दों के लिए गर्मियों में हुक्म है।

मसअला :– पाक ढेले दाहिनी जानिब रखना और काम में लाने के बाद बाई तरफ़ इस तरह पर डाल देना कि जिस रूख़ में नजासत लगी हो नीचे हो मुस्तहब है।

मसअला :– पेशाब के बाद जिसको यह शक हो कि कोई क़तरा बाक़ी रह गया या पेशाब फिर आयेगा तो उस पर इस्तिबरा करना यानी पेशाब के बाद ऐसा काम करना कि अगर क़तरा रूका हो तो गिर जाये वाजिब है। इस्तिबरा टहलने से होता है या ज़मीन पर ज़ोर से पाँव मारने या दाहिने पाँव को बायें या बायें को दाहिने पर रख कर ज़ोर करने या ऊँचाई से नीचे उतरने या नीचे से बलन्दी पर चढ़ने या खंकारने या बाईं करवट पर लेटने से होता है और इस्तिबरा उस वक़्त तक करें कि दिल को इत्मिनान हो जाये। टहलने की मिक़दार कुछ आलिमों ने चालीस क़दम रखी है मगर सही यह है कि जितने में इत्मिनान हो जाये। इस्तिबरा का हुक्म मर्दों के लिये है औरत फ़ारिग़ होने के बाद थोड़ी देर ठहरे फिर धो ले। पाख़ाने के बाद पानी से इस्तिन्जा का मुस्तहब तरीक़ा यह है कि फैल कर बैठे और धीरे धीरे पानी डाले और उंगलियों के पेट से धोये उंगलियों का सिरा न लगे और पहले बीच की उंगली ऊँची रखे फिर जो उससे मिली है उसके बाद छंगुलिया ऊँची रखे और ख़ूब मुबालग़ा के साथ (खूब अच्छी तरह) धोये। तीन उंगलियों से ज़्यादा से तहारत न करे और आहिस्ता–आहिस्ता मले यहाँ तक कि चिकनाई जाती रहे।

मसअला :– हथेली से धोने से भी तहारत हो जायेगी।

मसअला :– औरत हथेली से धोये और मर्द के मुक़ाबिले में ज़्यादा फैल कर बैठे। तहारत के बाद हाथ पाक हो गये मगर धो लेना बल्कि मिट्टी लगाकर धोना मुस्तहब है। जाड़ों में गर्मियों के मुक़ाबले ख़ूब धोये और अगर जाड़ों में गर्म पानी से इस्तिन्जा करे तो उसी क़द्र मुबालग़ा करे जितना गर्मियों में मगर गर्म पानी से इस्तिन्जा (तहारत करने) में उतना सवाब नहीं जितना ठंडे पानी से और गर्म पानी से बीमारी का भी ख़तरा है।

मसअला :– रोज़े के दिनों में न ज़्यादा फैल कर बैठे और न मुबालग़ा (धोने में ज़्यादती) करे।

मसअला :– मर्द लुंजा हो तो उसकी बीवी इस्तिन्जा करा दे और औरत ऐसी हो तो उसका शौहर

और बीवी न हो या औरत के शौहर न हो तो किसी और रिश्तेदार बेटा बेटी भाई बहन से इस्तिन्जा नहीं करा सकते माफ़ है।

मसअ्ला :– ज़मज़म शरीफ़ से इस्तिन्जा पाक करना मकरूह है और ढेला न लिया हो तो नाजाइज़

मसअ्ला :– वुज़ू के बचे हुये पानी से तहारत करना अच्छा नहीं है।

मसअ्ला :– इस्तिन्जे के बचे हुये पानी से वुज़ू कर सकते हैं। उस पानी को कुछ लोग फेंक देते हैं फेंकना न चाहिए फेंकना फुज़ूलख़र्ची है।

قَدْ تَمَّ بِحَمْدِ اللّٰهِ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعَالیٰ هٰذَا الْجُزْءُ فِیْ مَسَائِلِ الطَّهَارَةِ وَ لَهُ الْحَمْدُ اَوَّلاً وَ اٰخِراً وَ بَاطِناً وَ ظَاهِراً كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَ يَرْضٰی وَ هُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمٌ وَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِيْمِ وَ صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ ابْنِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَعُلَمَاءِ مِلَّتِهٖ وَ اَوْلِيَاءِ اُمَّتِهٖ اَجْمَعِيْنَ اٰمِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ اَنَا الْفَقِيْرُ الْمُفْتَقِرُ اِلَی اللّٰهِ الْغَنِیِّ اَبُو الْعُلَا مُحَمَّدٌ اَمْجَدُ عَلِیُ الْاَعْظَمِیُ غَفَرَاللّٰهُ لَهٗ وَ لِوَالِدَيْهِ اٰمِيْنَ. مُحَمَّدٌ اَمْجَدُ عَلِیُ اَعْظَمِیُ رَضْوِیُ.

तसदीके जलील व तक़रीज़ बे मसील इमाम अहले सुन्नत नासिरे दीन व मिल्लत मुहीइश्शरीआ कासिरुलफ़ितना क़ामेउलबिदंआ मुजद्दिदे अलमया तिल हाज़िरा साहिबुलहुज्जतिलक़ाहिरा सय्यदी व सनदी व कनज़ी व ज़ुख़्री लियौमी व ग़दी अअ्ला हज़रत मौलाना मोलवी हाजी क़ारी मुफ़ती अहमद **रज़ा ख़ाँ** साहिब क़ादरी बरकाती नफ़अल्लाहुल इस्लामा वलमुसलिमीन बिफ़ुयूज़ेहिम व बरकातिहिम

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰی وَ سَلَّمَ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰی اَلاَسِيَّمَا عَلَی الشَّارِعِ الْمُصْطَفٰی وَمُقْتَفِيْهِ فِی الْمَشَارِعِ اَوْلَی الطَّهَارَةِ وَ الصَّفَا.

फ़क़ीर ग़ुफ़िर लहुलमौललक़दीर ने मसाइले तहारत में यह मुबारक रिसाला बहारे शरीअत तसनीफ़े लतीफ़ अख़ी फ़िल्लाहि ज़िलमजदि वलजाह वत्तबइसलीम वल फ़िकरिल क़वीम वल फ़दले वल उला मौलाना अबुलउला मौलवी हकीम मुहम्मद अमजदअ़ली क़ादरी बरकाती आज़मी बिलमज़हबि वलमशरबि वस्सुकना रज़क़ाहुल्लाहु तआ़ला फ़िद्दारैनिलहुस्ना मुतालआ़ किया अलहम्मदु लिल्लाहि मसाइले सहीहा रजीहा मुहक़्क़िक़ा मुनक़्क़ा पर मुश्तमिल पाया आजकल ऐसी किताब की ज़रूरत थी कि अवाम भाई सलीस उर्दू में सहीह मसअ्ले पायें और गुमराही व अग़लात के मसनूई व मुलम्मअ् ज़ेवरों की तरफ़ आँख न उठायें मौला अ़ज़्ज़ व जल्ल मुसन्निफ़ की उम्र व अ़मल व फ़ुयूज़ में बरकत दे और अ़क़ाइद से ज़रूरी फ़ुरूअ़ तक हर बाब में उस किताब के और हसस काफ़ी व शाफ़ी व वाफ़ी व साफ़ी तालीफ़ कर ने की तौफ़ीक़ बख़्शे और उन्हें अहले सुन्नत में शाइअ् व मामूल और दुनिया व आख़िरत में नाफ़ेअ् व मक़बूल फ़रमाए आमीन।

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَ اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ ابْنِهٖ وَ حِزْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ اٰمِيْنَ ١٢ رَبِيْعُ الْاٰخِرِ شَرِيْفٌ ١٣٣٥ه مَحْرِيَّهٖ عَلٰی صَاحِبِهَا وَ اٰلِهِ الْكِرَامِ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ وَ التَّحِيَّةِ اٰمِيْنَ.

फ़क़ीर अमजद अ़ली आज़मी

हिन्दी तर्जमा

मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

मोबाइल :– 9219132423

बहारे शरीअ़त

तीसरा हिस्सा

मुसन्निफ़
सदरुश्शरीआ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा
मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर
क़ादरी दारुल इशाअ़त
मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली–53
Mob:–9312106346

नाम किताब — बहारे शरीअत (पहला हिस्सा)

मुसन्निफ़ — सदरुश्शरीअ मौलाना अमजद अली आज़मी रज़वी अलैहिर्रहमह

हिन्दी तर्जमा — मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

कम्प्यूटर कम्पोज़िंग — मौलाना मुहम्मद शफ़ीकुल हक रज़वी

कीमत जिल्द अव्वल — 500/

तादाद — 1000

इशाअ़त — 2010 ई.

मिलने के पते :

1. मकतबा नईमिया ,मटिया महल, दिल्ली।
2. फ़ारूक़िया बुक डिपो ,मटिया महल ,दिल्ली।
3. नाज़ बुक डिपो ,मोहम्मद अ़ली रोड़ मुम्बई
4. अलकुरआन कम्पनी ,कमानी गेट,अजमेर।
5. चिश्तिया बुक डिपो दरगाह शरीफ़ अजमेर।
6. क़ादरी दारुल इशाअ़त, 523 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली। 9312106346
7. मकतबा रहमानिया रज़विया दरगाह आ़ला हज़रत बरेली शरीफ़

फेहरिस्त

अर्ज़े मुतर्जिम

ज़ेरे नज़र किताब बहारे शरीअत उर्दू ज़बान में बहुत मशहूर व मअ्रूफ़ किताब है हिन्दी ज़बान में अभी तक फ़िक्ही मसाइल पर इतनी ज़खीम किताब मन्ज़रे आम पर नहीं आई काफ़ी अर्से से ख़्वाहिश थी कि बहारे शरीअत मुकम्मल हिन्दी में तर्जमा की जाये ताकि हिन्दी दाँ हज़रत को फ़िक्ही मसाइल पर पढ़ने के लिए तफ़्सीली किताब दस्तयाब हो सके।

मैंने इस किताब का तर्जमा करने में ख़ालिस हिन्दी अलफ़ाज़ का इस्तेमाल नहीं किया उस की वजह यह कि आज भी हिन्दुस्तान में आम बोलचाल की ज़बान उर्दू है अगर हिन्दी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता तो किताब और ज़्यादा मुश्किल हो जाती इसी लिए किताब के मुश्किल अलफ़ाज़ को आसान उर्दू में हिन्दी लिपि में लिखा गया है।

बहारे शरीअत उर्दू में बीस हिस्से तीन या चार जिल्दों में दस्तेयाब हैं अगर इस किताब का अच्छी तरह से मुताला कर लिया जाये तो मोमिन को अपनी जिन्दगी में पेश आने वाले तक़रीबान तमाम मसाइल की जानकारी हासिल हो सकती है। इस किताब में अक़ाइद मुआमलात तहारत, नमाज़, रोज़ा ,हज, ज़कात, निकाह, तलाक़, ख़रीद ,फ़रोख़्त ,अख़लाक़,ग़रज़ कि ज़रूरत के तमाम मसाइल का बयान है।

काफ़ी अर्से से तमन्ना थी कि मुकम्मल बहारे शरीअत हिन्दी में पेश की जाये ताकि हिन्दी दाँ हज़रात इस से फ़ायादा हासिल कर सकें बहारे शरीअत की बीस हिस्सों की कम्पोज़िंग मुकम्मल हो चुकी है जिस को दो जिल्दो में पेश करने का इरादा है।

कुछ मजबूरियों की वजह से दस हिस्सों की एक जिल्द पेश की जारही है कुछ ही वक़्त के बाद बाक़ी दस हिस्सों की दूसरी जिल्द आप के सामने होगी यह हिन्दी में फ़िक्ही मसाइल पर सब से ज़्यादा तफ़सीली किताब होगी कोशिश यह की गई है कि ग़लतियों से पाक किताब हो और मसाइल भी न बदल पाये अभी तक मार्केट में फ़िक़्ह के बारे में पाई जाने वाली हिन्दी की अकसर किताबों में मसाइल भी बदल गये हैं और उन के अनुवादकों को इस बात का एहसास तक न हो सका यह उन के दीनी तालीम से वाक़िफ़ न होने की वजह है। मगर शौक़ उनका यह है कि दीनी किताबों को हिन्दी में लायें उनको मेरा मश्वरा यह है कि अपना यह शौक़ पूरा करने के लिए बाक़ाएदा मदर्से में दीनी तालीम हासिल करें और किसी आलिमे दीन की शागिर्दी इख़्तेयार करें ताकि हिन्दी में सही तौर पर किताबें छापने का शौक़ पूरा हो सके।

फिर भी मुझे अपनी कम इल्मी का एहसास है। क़ारेईन किताब में किसी भी तरह की ग़लती पायें तो ख़ादिम को ज़रूर इत्तेलाअ् करें ताकि अगले एडीशन में सुधार कर लिया जाये किताब को आसान करने की काफ़ी कोशिश की गई है फिर भी अगर कहीं मसअ्ला समझ में न आये तो किसी सुन्नी सहीहुल अक़ीदा आलिमे दीन से समझलें ताकि दीन का सही इल्म हासिल हो सके किताब का मुतालआ करने के दौरान उलमा से राब्ता रखें वक़्तन फ़ वक़्तन किताब में पेश आने वाले मसाइल को समझते रहें।

अल्लाह तआला की बारगाह में दुआ है कि वह अपने हबीबे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के सदक़े में इस किताब के ज़रीए क़ारेईन को भरपूर फ़ायदा अता फ़रमाये और इस तर्जमे को मक़बूल व मशहूर फ़रमाये और मुझ ख़ताकार व गुनाहगार के लिए बख़्शिश का ज़रीआ बनाये आमीन!

ख़ादिमुल उलमा

मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

30 सितम्बर सन.2010

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ
نَحۡمَدُہٗ وَ نُصَلِّیۡ وَ نُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ

नमाज़ का बयान

ईमान व तस्हीहे अक़ाइद मुताबिके मज़हबे अहले सुन्नत व जमाअत के बाद नमाज़ तमाम फ़राइज़ में निहायत अहम व अअ्ज़म है। क़ुर्आन मजीद अहादीसे नबीये करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इसकी अहमियत से मालामाल हैं, जा–ब–जा इसकी ताकीद आई और इसके छोड़ने वाले पर वईद फ़रमाई यानी नमाज़ की बहुत ताकीद फ़रमाई गई और इसके तर्क(छोड़ना)करने पर अज़ाब की ख़बर दी गई। चन्द आयतें और हदीसें ज़िक्र की जाती हैं कि मुसलमान अपने रब तआला और प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशादात सुनें और उसकी तौफ़ीक़ से उस पर अमल करें।

अल्लाह तआला फ़रमाता है :–

هُدًى لِّلۡمُتَّقِيۡنَ الَّذِيۡنَ يُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡغَيۡبِ وَ يُقِيۡمُوۡنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقۡنٰهُمۡ يُنۡفِقُوۡنَ (پ ۱ ع ۱)

तर्जमा :– " यह किताब परेहज़गारों को हिदायत है जो ग़ैब पर ईमान लाते और नमाज़ क़ाइम रखते और हमने जो दिया उसमें से हमारी राह में ख़र्च करते हैं"।

اَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ ارۡكَعُوۡا مَعَ الرّٰكِعِيۡنَ ۝ (پ ۱ ع ۵)

तर्जमा :– " नमाज़ क़ाइम करो और ज़कात दो और रूकु करने वालों के साथ नमाज़ पढ़ो" यानी मुसलमानों के साथ कि रूकुअ् हमारी ही शरीअ़त में है या बाजमाअ़त अदा करो।

और फ़रमाता है।

حٰفِظُوۡا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الۡوُسۡطٰى وَ قُوۡمُوۡا لِلّٰهِ قٰنِتِيۡنَ ۝ (پ ۲ ع ۳)

तर्जमा :– " तमाम नमाज़ों ख़ुसूसन बीच वाली नमाज़ (अ़स्र)की मुहाफ़ज़त रखो और अल्लाह के हुज़ूर अदब से खड़े रहो"।

और फ़रमाता है:

وَ اِنَّهَا لَكَبِيۡرَةٌ اِلَّا عَلَى الۡخٰشِعِيۡنَ ۝ (پ ۱ ع ۵)

तर्जमा :–" नमाज़ शाक़ है मगर ख़ुशू करने वालों पर"।

नमाज़ का मुतलक़न तर्क तो सख़्त हौलनाक चीज़ है उसे क़ज़ा कर के पढ़ने वालों को फ़रमाता है :–

فَوَيۡلٌ لِّلۡمُصَلِّيۡنَ ۝ الَّذِيۡنَ هُمۡ عَنۡ صَلَاتِهِمۡ سَاهُوۡنَ ۝ (پ ۳۰ ع ۳۳)

तर्जमा :– " ख़राबी उन नमाज़ियों के लिये जो अपनी नमाज़ से बे ख़बर हैं वक़्त गुज़ार कर पढ़ने उठते हैं"

जहन्नम में एक वादी है जिसकी सख़्ती से जहन्नम भी पनाह माँगता है उसका नाम वैल है क़स्दन नमाज़ क़ज़ा करने वाले उसके मुस्तहक़ हैं।

और फ़रमात है :–

فَخَلَفَ مِنۡۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ۝ (پ ۱۶ ع ۷)

तर्जमा :–"उन के बाद कुछ नाख़लफ़ पैदा हुये जिन्हों ने नमाज़ें ज़ाय कर दीं और नफ़्सानी ख्वाहिशों का इत्तिबाअ् किया। अन्करीब उन्हें सख़्त अज़ाबे तवील व शदीद से मिलना होगा"।

गय्य जहन्नम में एक वादी है जिसकी गर्मी और गहराई सब से ज़्यादा है उसमें एक कुआँ है जिसका नाम हबहब है जब जहन्नम की आग बुझने पर आती है अल्लाह तआला उस कुँए को खोल देता है जिस से वह बदस्तूर भड़कने लगती है। अल्लाह तआला फ़रमाता है:–

كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ○ (پ ۱۵ ع ۱۱)

तर्जमा :– " जब बुझने पर आयेगी हम उन्हें और भड़क ज़्यादा करेंगे यह कुआँ बे नमाज़ियों और ज़ानियों और शराबियों और सूद ख़ोरों और माँ बाप को ईज़ा देने वालों के लिये है नमाज़ की अहमियत का इससे भी पता चलता है कि अल्लाह तआला ने सब अहकाम अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर भेजे और जब नमाज़ फ़र्ज़ करनी मन्ज़ूर हुई हुज़ूर को अपने पास अर्शे अअ्ज़म पर बुला कर उसे फ़र्ज़ किया और शबे असरा में तोहफ़ा दिया।

अहादीस

हदीस न.1 :– सही बुखारी और मुस्लिम में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं इस्लाम की बुनियाद पाँच चीज़ों पर है। इस बात की शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा मअ्बूद (पूजने के काबिल)नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस के ख़ास बन्दे और रसूल हैं और नमाज़ काइम करना और ज़कात देना और हज करना और माहे रमज़ान का रोज़ा रखना।(मिश्कात स 12)

हदीस न.2 :– इमाम अहमद व इब्ने माजा रिवायत करते है कि हज़रत मआज़ रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते है मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सवाल किया वह अमल इरशाद हो कि मुझे जन्नत में ले जाये और जहन्नम से बचाये फ़रमाया अल्लाह तआला की इबादत कर और उस के साथ किसी को शरीक न रख और नमाज़ काइम रख और ज़कात दे और रमज़ान का रोज़ा रख और बैतुल्लाह का हज कर इस हदीस में यह भी है कि इस्लाम का सुतून नमाज़ है।(मिश्कात स 14)

हदीस न.3 :– सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया पाँच नमाज़ें और जुमे से जुमे तक और रमज़ान से रमज़ान तक उन तमाम गुनाहों को मिटा देते हैं जो इनके दरमियान हो जबकि कबाइर (यानी गुनाहे कबीरा) से बचा जाये (मिश्कात स 57)

हदीस न.4 :– सहीहैन में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि बताओ तो किसी के दरवाज़े पर नहर हो वह उसमें हर रोज़ पाँच बार गुस्ल करे क्या उसके बदन पर मैल रह जायेगा। अर्ज की नहीं यही मिसाल पाँचों नमाज़ों की है कि अल्लाह तआला उन के सबब ख़ताओं को मिटा देता है।

हदीस न.5 :– सहीहैन में इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि एक सहाबी से एक गुनाह सादिर हुआ हाज़िर हो कर अर्ज़ की। उस पर यह आयत नाज़िल हुई :–

أَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ○

तर्जमा :– "नमाज़ क़ाइम कर दिन के दोनों किनारों और रात के कुछ हिस्से में बेशक नेकियाँ गुनाहों को दूर करती हैं यह नसीहत है नसीहत मानने वालों के लिए। उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्या यह ख़ास मेरे लिए है फ़रमाया मेरी सब उम्मत के लिए।" (मिश्कात स 58)

हदीस न.6 :– सही बुख़ारी व मुस्लिम में है कि अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सवाल किया अअ्माल में अल्लाह तआला के नज़दीक सब से ज़्यादा महबूब क्या है फ़रमाया वक़्त के अन्दर नमाज़ मैंने अर्ज़ की फिर क्या फ़रमाया माँ बाप के साथ नेकी करना मैंने अर्ज़ की फिर क्या राहे ख़ुदा में जिहाद।

हदीस न.7 :– बैहकी ने हज़रते उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि एक साहब ने अर्ज़ की या रसूलल्लह! इस्लाम में सब से ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक महबूब क्या चीज़ है फ़रमाया वक़्त में नमाज़ पढ़ना और जिस ने नमाज़ छोड़ी उस का कोई दीन नहीं नमाज़ दीन का सुतून है।

हदीस न.8 :– अबू दाऊद ने अम्र इब्ने शुऐब अन अबीहे अन जद्देही रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया जब तुम्हारे बच्चे सात बरस के हों तो उन्हें नमाज़ का हुक्म दो और जब दस बरस के हो जायें तो मार कर पढ़ाओ। (मिश्कात 58)

हदीस न.9 :– इमाम अहमद रिवायत करते हैं कि अबू ज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जाड़ों में बाहर तशरीफ़ ले गये पतझड़ का ज़माना था दो टहनियाँ पकड़ लीं पत्ते गिरने लगे फ़रमाया अबू ज़र! मैंने अर्ज़ की लब्बैक या रसूलल्लाह फ़रमाया मुसलमान बन्दा अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ता है तो उस से गुनाह ऐसे गिरते हैं जैसे इस दरख़्त से यह पत्ते। (मिश्कात 58)

हदीस न.10 :– सहीह मुस्लिम शरीफ़ में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स अपने घर में तहारत (वुज़ू या गुस्ल)कर के फ़र्ज़ अदा करने के लिए मस्जिद को जाता है तो एक क़दम पर एक गुनाह माफ़ होता है यानी एक गुनाह मिट जाता है और एक दर्जा बलन्द होता है।

हदीस न.11 :– इमाम अहमद, ज़ैद इब्ने ख़ालिद जुहनी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी है कि हुज़ूर ने फ़रमााया जो दो रकअ्त नमाज़ पढ़े और उन में सहव (भूल)न करे तो जो कुछ पेशतर उस के गुनाह हुए हैं अल्लाह तआला माफ़ फ़रमादेता है यानी सग़ाइर(छोटा गुनाह) (मिश्कात स 58)

हदीस न.12 :– तबरानी अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत कि हुज़ूर ने फ़रमाया कि बन्दा जब नमाज़ के लिये खड़ा होता है उसके लिये जन्नतों के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और उसके परवरदिगार के दरमियान से हिजाब हटा दिया जाता है और हूरें उसका इस्तिक़बाल करती हैं जब तक नाक सिनके न खंकारे।

हदीस न.13 :– तबरानी ने औसत में और ज़िया ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर ने फ़रमाया कि सब से पहले क़यामत के दिन बन्दे से नमाज़ का हिसाब लिया जायेगा अगर यह दुरुस्त हुई तो बाक़ी अअ्माल भी ठीक रहेंगे और यह बिगड़ी तो सभी बिगड़े और एक रिवायत में है कि वह ख़ाइब व ख़ासिर हुआ।

हदीस न.14 :– इमाम अहमद व अबू दाऊद व नसई व इब्ने माजा की रिवायत तमीम दारी

रदियल्लाहु तआला अन्हु से, यूँ है अगर नमाज़ पूरी की है तो पूरी लिखी जायेगी और पूरी नहीं की (यानी उस में नुक़सान है)तो मलाइका से फ़रमाया गया देखों मेरे बन्दे के नवाफ़िल हों तो उन से फ़र्ज़ पूरे कर दो फिर ज़कात का इसी तरह हिसाब होगा फिर यूँ ही बाक़ी अअ्माल का।

हदीस न.15 :– अबू दाऊदव इब्ने माजा अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताआल अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया (जो मुसलमान जहन्नम में जायेगा वलअयाज़ु बिल्लाहि तआला) उसके पूरे बदन को आग खायेगी सिवाए आज़ाए सुजूद के अल्लाह तआला ने उस का खाना आग पर हराम कर दिया है।

हदीस न.16 :– तबरानी औसत में रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया अल्लाह तआला के नज़दीक बन्दे की यह हालत सब से ज़्यादा पसन्द है कि उसे सजदा करता देखे कि अपना मुँह ख़ाक पर रगड़ रहा है।

हदीस न.17 :– तबरानी औसत में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया कोई सुबह व शाम नहीं मगर ज़मीन का एक टुकड़ा दूसरे को पुकारता है आज तुझ पर कोई नेक बन्दा गुज़रा जिसने तुझ पर नमाज़ पढ़ी या ज़िक्रे इलाही किया अगर वह हाँ कहे तो उसके लिए इस सबब से अपने ऊपर बुज़ुर्गी तसव्वुर करता है।

हदीस न.18 :– सही मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुज़ूर ने फ़रमाया कि जन्नत की कुंजी नमाज़ है और नमाज़ की कुंजी तहारत है।

हदीस न.19 :– अबू दाऊद ने अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया जो तहारत कर के अपने घर से फ़र्ज़ नमाज़ के लिए निकला उसका अज्र ऐसा है जैसा हज करने वाले मुहरिम (इहराम बांधने वाले) का और जो चाश्त के लिए निकला उसका अज्र उमरा करने वाले की मिस्ल है और एक नमाज़ दूसरी नमाज़ तक के दोनों के दरमियान में कोई लग़वियात न हो तो वह नमाज़ इल्लीयीन में लिखी हुई है यानी दर्जए क़बूल को पहुँचती है।

हदीस न.20,21 :– इमाम अहमद व नसई इब्ने माजा ने अबू अय्यूब अन्सारी व उक़बा इब्ने आमिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया कि जिसने वुज़ू किया जैसा हुक्म है और नमाज़ पढ़ी जैसा नमाज़ का हुक्म है तो जो कुछ पहले किया है माफ़ हो गया।

हदीस न.22 :– इमाम अहमद अबू ज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया जो अल्लाह के लिये एक सजदा करता है उस के लिये एक नेकी लिखता है और एक गुनाह माफ़ करता है और एक दर्जा बुलन्द करता है।

हदीस न.23 :– कन्ज़ुल उम्माल में है कि जो तनहाई में दो रकअ्त नमाज़ पढ़े कि अल्लाह और फ़रिश्ते कि सिवा कोई न देखे उस के लिए जहन्नम से बराअ्त (आज़ादी)लिख दी जाती है।

हदीस न.24 :– मुन्यतुल मुसल्ली में है कि इरशाद फ़रमाया कि हर शय के लिए एक अलामत होती है ईमान की अलामत नमाज़ है।

हदीस न.25 :– मुन्यतुल मुसल्ली में है इरशाद फ़रमाया नमाज़ दीन का सुतून है जिसने इसे क़ाइम रखा दीन को क़ाइम रखा और जिसने इसे छोड़ दिया दीन को ढा दिया।

हदीस न.26 :– इमाम अहमद व अबू दाऊद उबादा इब्ने सामित रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया कि पाँच नमाज़ें अल्लाह तआला ने बन्दों पर फ़र्ज़ कीं, जिस ने अच्छी तरह

वुज़ू किया और वक़्त में नमाज़ें पढ़ी और रूकू व ख़ुशूअ़ को पूरा किया तो उस के लिये अल्लाह तआ़ला ने अपने ज़िम्मए करम पर अ़हद कर लिया कि उसे बख़्श दे और जिसने न किया उस के लिए अ़हद नहीं चाहे बख़्श दे चाहे अ़ज़ाब करे।

हदीस न.27 :– हाकिम ने अपनी तारीख़ में उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत है की हुज़ूर फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है कि अगर वक़्त में नमाज़ क़ाइम रखे तो मेरे बन्दे का मेरे ज़िम्मेकरम पर अ़हद है कि उसे अ़ज़ाब न दूँ और बेहिसाब जन्नत में दाख़िल करूँ।

हदीस न.28 :– दैलमी अबू सईद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने कोई ऐसी चीज़ फ़र्ज़ न की जो तौहीद और नमाज़ से बेहतर हो अगर इससे बेहतर कोई चीज़ होती तो वह ज़रूर मलाएका पर फ़र्ज़ करता। उनमें कोई रूकू में है कोई सजदा में।

हदीस न.29 :– अबू दाऊद व तियाल्सी अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया जो बन्दा नमाज़ पढ़ कर उस जगह जब तक बैठा रहता है फ़रिश्ते उस के लिये इस्तिग़फ़ार करते हैं उस वक़्त तक कि बे–वुज़ू हो जाए उठ खड़ा हो। मलाइका का इस्तिग़फ़ार उस के लिए यह है :–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह तू उसको बख़्श दे, ऐ अल्लाह तू इस पर रहम कर,ऐ अल्लाह इसकी तौबा क़बूल फ़रमा"।

और बहुत सी हदीसों में आया है कि जब तक नमाज़ के इन्तिज़ार में है उस वक़्त तक वह नमाज़ ही में है यह फ़ज़ाइल मुतलक़न नमाज़ के हैं और ख़ास ख़ास नमाज़ों के मुतअ़ल्लिक़ जो अहादीस वारिद। हुई उन में यह है :–

हदीस न.30 :– तबरानी इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर इरशाद फ़रमाते हैं जो सुबह की नमाज़ पढ़ता है वह शाम तक अल्लाह के ज़िम्मे है। दूसरी रिवायत में है तुम अल्लाह का ज़िम्मा न तोड़ो जो अल्लाह तआ़ला का ज़िम्मा तोड़ेगा अल्लाह तआ़ला उसे औंधा करके दोज़ख़ में डालेगा।

हदीस न.31 :– इब्ने मांजा सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया जो सुबह नमाज़ को गया ईमान के झन्डे के साथ गया।

हदीस न.32 :– बैहक़ी ने शोअ़बुल ईमान में उसमान रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मौक़ूफ़न रिवायत की (जो रिवायत हुज़ूर का ज़िक्र छोड़ कर की जाए वह मौक़ुफ़ कहलाती है) जो सुबह की नमाज़ के लिए तालिबे सवाब होकर हाज़िर हुआ गोया उसने तमाम रात क़ियाम किया (इबादत की) और जो नमाज़े इशा के लिए हाज़िर हुआ गोया वह निस्फ़ (आधी),शब क़ियाम किया।

हदीस न.33 :– ख़तीब ने अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया जिस ने चालीस दिन नमाज़े फ़ज्र व इशा बाजमाअ़त पढ़ी उसको अल्लाह तआ़ला दो बरअ़तें अ़ता फ़रमायेगा एक नार से दूसरी निफ़ाक़ से।

हदीस न.34 :– इमाम अहमद अबू हूरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं रात और दिन के मालाइका नमाज़े फ़ज्र व अ़स्र में जमा होते हैं जब वह जाते हैं तो अल्लाह तआ़ला उन से

फ़रमाता है कहाँ से आये हालाँकि वह जानता है। अर्ज़ करते हैं तेरे बंदों के पास से जब हम उन के पास गये तो वह नमाज़ पढ़ रहे थे और उन्हें नमाज़ पढ़ता छोड़कर तेरे पास हाज़िर हुए।

हदीस न.35 :– इब्ने माजा इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि हुज़ूर फ़रमाते हैं जो मस्जिद में जमाअत चालीस रातें नमाज़े इशा पढ़े कि रकअ़ते ऊला फ़ौत न हो(यानी बिलकुल शुरूअ़ से नमाज़ पाए छूटे नहीं) अल्लाह तआला उस के लिए दोज़ख से आज़ादी लिख देता है।

हदीस न.36 :– तबरानी ने अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर फ़रमाते हैं सब नमाज़ों में ज़्यादा गिराँ मुनाफ़ेक़ीन पर नमाज़े इशा व फ़ज्र हैं और जो इनमें फ़ज़ीलत है अगर जानते तो ज़रूर हाज़िर होते अगरचे सुरीन के बल घिसटते हुए यानी जैसे भी मुमकिन होता हाज़िर होते।

हदीस न.37 :– बज़्ज़ाज़ ने इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि हुज़ूर फ़रमाते हैं जो नमाज़े इशा से पहले सोए,अल्लाह उसकी आँख को न सुलाए नमाज़ न पढ़ने पर जो वईदें आई उन में बाज़ यह हैं।

हदीस न.38 :– सहीहैन में नौफ़ल इब्ने मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जिसकी नमाज़ फ़ौत हुई गोया उसके अहल व माल जाते रहे।

हदीस न.39 :– अबू नईम अबू सईद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया जिस ने क़स्दन (जानबूझ कर) नमाज़ छोड़ी जहन्नम के दरवाज़े पर उसका नाम लिख दिया जाता है।

हदीस न.40 :– इमाम अहमद उम्मे ऐमन रदियल्लाहु तआला अन्हा से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया क़स्दन नमाज़ तर्क न करो कि जो क़स्दन नमाज़ तर्क कर देता है अल्लाह व रसूल उससे बरिउज़्ज़िम्मा हैं।

हदीस न.41 :– शैख़ैन ने उसमान इब्ने अबी आस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर फ़रमाते हैं जिस दीन में नमाज़ नहीं उसमें कोई ख़ैर नहीं।

हदीस न.42 :– बैहक़ी हज़रते उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर फ़रमाते हैं जिसने नमाज़ छोड़ दी उसका कोई दीन नहीं नमाज़ दीन का सुतून है।

हदीस न.43 :– बज़्ज़ाज़ ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि फ़रमाते हैं इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं जिस के लिए नमाज़ न हो।

हदीस न.44 :– इमाम अहमद व दारमी व बैहक़ी शोअ़बुल ईमान में रावी कि हुज़ूर (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) ने फ़रमाया जिस ने नमाज़ पर मुहाफ़ज़त (मुदावमत यानी हमेशा पढ़ी) की क़ियामत के दिन वह नमाज़ उसके लिए नूर व बुरहान व नजात होगी और जिस ने मुहाफ़ज़त न की उसके लिए न नूर है और न बुरहान न नजात और क़यामत के दिन क़ारून व फ़िरऔन व हामान व उबई इब्ने ख़ल्फ़ के साथ होगा।

हदीस न. 45 :– बुख़ारी व मुस्लिम व इमाम मालिक नाफ़ेअ़ रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हजरते अमीरूल मोमिनीन फ़ारूके आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने सूबों के पास फ़रमान भेजा कि तुम्हारे सब कामों से अहम मेरे नज़दीक नमाज़ है जिस ने उसकी हिफ़ाज़त की और उस

पर मुहाफ़ज़त की उस ने अपना दीन महफ़ूज़ रखा और जिस ने उसे जाए (तबाह व बरबाद) किया वह औरों को बदर्जए औला जाए करेगा।

हदीस न.46 :– तिर्मिज़ी अ़ब्दुल्लाह इब्ने शकीक़ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि सहाबा किराम किसी अ़मल के तर्क को कुफ़ नहीं जानते सिवा नमाज़ के। बहुत सी ऐसी हदीसें आई जिन का ज़ाहिर यह है कि क़स्दन नमाज़ का तर्क कुफ़ है और बाज़ सहाबए किराम मसलन हज़रते अमीरूल मोमिनीन फ़ारूके अअ़ज़म व अ़ब्दुर्रहमान इब्ने औ़फ़ व अ़ब्दुल्लाह व मआज़ इब्ने जबल व अबू हुरैरा व अबू दर्दा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम का यही मज़हब था और बाज़ अइम्मा मस्लन इमाम अहमद इब्ने हम्बल व इसहाक़ इब्ने राहविया व अ़ब्दुल्लाह इब्ने मुबारक व इमाम नख़ई का भी यही मज़हब था अगर्चे हमारे इमाम अअ़ज़म व दीगर अइम्मा व बहुत से सहाबए किराम भी उसकी तकफ़ीर नहीं करते फिर भी यह क्या थोड़ी बात है कि इन जलीलुलक़द्र हज़रात के नज़दीक ऐसा शख़्स काफ़िर है।

अहकामे फ़िक़्हिय्या

मसअ्ला :– हर मुकल्लफ़ यानी आ़क़िल बालिग़ पर नमाज़ फ़र्ज़ ऐन है। उसकी फ़र्ज़ियत का मुन्किर काफ़िर है और जो क़स्दन (जानबूझ कर) छोड़े अगर्चे एक ही वक़्त की वह फ़ासिक़ है और जो नमाज़ न पढ़ता हो क़ैद किया जाए, यहाँ तक कि तौबा करे और नमाज़ पढ़ने लगे बल्कि अइम्मा सलासा मालिक व शाफ़ेई व अहमद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम के नज़दीक सुलताने इस्लाम को उसके क़त्ल का हुक्म है। (दुर्रे मुख़्तार जि0 2 स0 235)

मसअ्ला :– बच्चे की जब सात बरस की उम्र हो उसे नमाज़ पढ़ना सिखाया जाए और जब दस बरस का हो तो मार कर पढ़ाना चाहिए (अबू दाऊद,तिर्मिज़ी)नमाज़ ख़ालिस इबादते बदनी है उसमें नियाबत जारी नहीं हो सकती यानी एक की तरफ़ से दूसरा नहीं पढ़ सकता। न यह हो सकता है कि ज़िन्दगी में नमाज़ के बदले कुछ माल बतौर फ़िदया अदा कर दें। अलबत्ता अगर किसी पर कुछ नमाज़ें रह गईं हैं और इन्तेक़ाल कर गया और वसीयत कर गया कि उसकी नमाज़ों का फ़िदया अदा कर दिया जाए और उम्मीद है कि इन्शाअल्लाह तआ़ला क़बूल हो और बे–वसीयत भी वारिस उसकी तरफ़ से फ़िदया दें कि उम्मीद क़बूल व अफ़्व है यानी गुनाहों के माफ़ होने की उम्मीद है। (दुर्रे मुख़्तार, व रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– नमाज़ की फ़र्ज़ियत का सबबे हक़ीक़ी अल्लाह का हुक्म है और सबबे ज़ाहिरी वक़्त है कि अव्वल वक़्त से आख़िर वक़्त तक जब अदा करे अदा हो जायेगी और फ़र्ज़ ज़िम्मा से साक़ित हो जायेगा और अगर अदा न की यहाँ तक वक़्त का एक ख़फ़ीफ़ हिस्सा बाक़ी है तो यही आख़िरी हिस्सा सबब है तो,अगर कोई मजनून या बेहोश होश में आया या हैज़ व निफ़ास वाली पाक हुई या बच्चा बालिग़ हुआ या मुसलमान हुआ और वक़्त सिर्फ़ इतना है कि अल्लाहु अकबर कह ले तो उन सब पर उस वक़्त की नमाज़ फ़र्ज़ हो गई और जुनून व बेहोशी पाँच वक़्त से ज़्यादा को घेरे न हो यानी नमाज़ के पाँच वक़्तों को न घेरे हों तो अगर्चे तकबीरे तहरीमा का भी वक़्त न मिले नमाज़ फ़र्ज़ है क़ज़ा पढ़े (दुर्रे मुख़्तार)हैज़ व निफ़ास वाली में तफ़सील है जो हैज़ के बयान में ज़िक्र हुई (यानी हैज़ वाली अगर पूरी मुद्दत में पाक हुई तो सिर्फ़ अल्लाहु अकबर की गुंजाइश वक़्त में होने से

नमाज़ फ़र्ज़ हो जाएगी और अगर पूरी मुद्दत से पहले पाक हुई यानी हैज़ में दस दिन से पहले और निफ़ास में चालीस दिन से पहले तो इतना वक़्त दरकार है कि गुस्ल करके कपड़े पहनकर अल्लाहु अकबर कह सके गुस्ल कर सकने में गुस्ल के दूसरे काम जैसे पानी लाना कपड़े उतारना पर्दा करना भी दाख़िल हैं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– नाबालिग़ ने वक़्त में नमाज़ पढ़ी थी और अब आख़िर वक़्त में बालिग़ हुआ तो उस पर फ़र्ज़ है कि अब फिर पढ़े। यूँही अगर मआज़ल्लाह कोई मुर्तद हो गया फिर आख़िर वक़्त में इस्लाम लाया उस पर उस वक़्त की नमाज़ फ़र्ज़ है अगर्चे अव्वल वक़्त में क़ब्ल इरतेदाद यानी मुरतद होने से पहले नमाज़ पढ़ चुका हो। (दुर्रे मुख़्तार जिल्द 1 पेज 238)

मसअ्ला :– नाबालिग़ इशा की नमाज़ पढ़ कर सोया था उसको एहतिलाम हुआ और बेदार न हुआ यहाँ तक फ़ज्र तुलू होने के बाद आँख खुल गई दुबारा पढ़े और अगर तुलूए फ़ज्र से पहले आँख खुली तो उस पर इशा की नमाज़ बिलइजमाअ् यानी हर एक के नज़दीक फ़र्ज़ है।(बहरुर्राइक़ जिल्द 2 पेज 80)

मसअ्ला :– किसी ने अव्वल वक़्त में नमाज़ न पढ़ी थी और आख़िर वक़्त में कोई ऐसा उज़्र पैदा होगया जिस से नमाज़ साक़ित हो जाती है मसलन आख़िर वक़्त में हैज़ व निफ़ास हो गया या ख़ून या बेहोशी तारी हो गई तो उस वक़्त की नमाज़ माफ़ हो गई। उस की क़ज़ा भी उन पर नहीं है मगर जुनून या बेहोशी में शर्त है कि अ़ललइत्तिसाल पाँच नमाज़ों से ज़ाएद को घेर लें यानी लगातार छः नमाज़ के वक़्त तक बेहोशी रहे वर्ना क़ज़ा लाज़िम होगी। (आलमगीरी जिल्द 1 पेज 47)

मसअ्ला :– यह गुमान था कि अभी वक़्त नहीं हुआ नमाज़ पढ़ ली नमाज़ के बाद मालूम हुआ कि वक़्त हो गया था नमाज़ न हुई। (दुर्रे मुख़्तार जिल्द 1 पेज 274)

नमाज़ के वक़्तों का बयान

अल्लाह तआला ने फ़रमाया :–

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا ۝ (پ ۱۱ ع)

तर्जमा :– "बेशक नमाज़ ईमान वालों पर फ़र्ज़ है वक़्त बाँधा हुआ"। और फ़रमाता है :–

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَ حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ۝ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ عَشِيًّا وَّ حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ۝ (پ ع)

तर्जमा :– "अल्लाह की तस्बीह करो जिस वक़्त तुम्हें शाम हो (नमाज़े मग़रिब व इशा) और जिस वक़्त सुबह हो (नमाज़े फ़ज्र) और उसी की हम्द है आसमानों और ज़मीन में और पिछले पहर को नमाज़े अ़स्र और जब तुम्हें दिन ढले (नमाज़े ज़ोहर)"

अहादीस

हदीस न.1 :– हाकिम ने इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं फ़ज्र दो हैं एक वह जिसमें खाना हराम यानी रोज़दार के लिए और नमाज़ हलाल दूसरी वह कि उसमें नमाज़े फ़ज्र हराम और खाना हलाल।

हदीस न.2 :– नसई अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जिस शख़्स ने फ़ज्र की एक रकअ़त क़ब्ले तुलूए आफ़ताब पा ली तो उसने नमाज़ पाली (उस पर फ़र्ज़ हो गई) और जिसे एक रकअ़त अ़स्र की क़ब्ले गुरूबे आफ़ताब मिल गई उसने

नमाज़ पाली यानी उसकी नमाज़ हो गई। यहाँ दोनों जगह रकअ़त से तकबीरे तहरीमा मुराद ली जायेगी यानी अस्र की नियत बाँध ली तकबीरे तहरीमा कह ली उस वक़्त तक आफ़ताब न डूबा था फिर डूब गया नमाज़ हो गई और काफ़िर मुसलमान हुआ था और बच्चा बालिग़ हुआ उस वक़्त कि आफ़ताब तुलू होने तक तकबीरे तहरीमा कह लेने का वक़्त बाक़ी था,इस फ़ज्र की नमाज़ उस पर फ़र्ज़ हो गई कज़ा पढ़े और तुलूए आफ़ताब के बाद मुसलमान या बालिग़ हुआ,तो वह नमाज़ उस पर फ़र्ज़ न हुई।

हदीस न.3 :— तिर्मिज़ी राफ़ेअ़ इब्ने ख़ुदैज रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते है स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फज्र की नमाज़ उजाले में पढ़ो कि इसमें बहुत अज़ीम सवाब है

हदीस न.4 :— दैलमी की रिवायत अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है कि इससे तुम्हारी मग़फ़िरत हो जायेगी और दैलमी की दूसरी रिवायत उन्हीं से है कि जो फ़ज्र को रौशन कर के पढ़ेगा अल्लाह तआ़ला उसकी कब्र और कल्ब को मुनव्वर करेगा और उसकी नमाज़ कबूल फ़रमायेगा।

हदीस न.5 :— त़बरानी औसत में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर फ़रमाते हैं मेरी उम्मत हमेशा फ़ित़रत यानी दीने हक़ पर रहेगी जब तक फ़ज्र को उजाले में पढ़ेगी।

हदीस न.6 :— इमाम अहमद व तिर्मिज़ी अबू हुरैरा रदियल्लाहुतआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम फ़रमाते हैं नमाज़ के लिये अव्वल व आख़िर हैं अव्वल वक़्त ज़ोहर का उस वक़्त है कि आफ़ताब ढल जाए और आख़िर उस वक़्त कि सूरज पीला हो जाए और अव्वल वक़्त मग़रिब का उस वक़्त कि सूरज डूब जाए और उसका आख़िर वक़्त जब शफ़क़ डूब जाए और अव्वल वक़्त इशा का जब शफ़क़ डूब जाए और आख़िर वक़्त जब आधी रात हो जाए (यानी वक़्ते मुबाह बिला कराहत)

हदीस न.7 :— बुख़ारी व मुस्लिम अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ज़ोहर को ठंडा करके पढ़ो कि सख़्त गर्मी जहन्नम के जोश से है दोज़ख़ ने अपने रब के पास शिकायत की कि मेरे बाज़ हिस्से बाज़ को खाए लेते हैं उसे दो मर्तबा साँस की इजाज़त हुई एक जाड़े में एक गर्मी में।

हदीस न.8 :— सही बुख़ारी शरीफ़ बाबुल अज़ान लिलमुसाफ़ेरीन में है अबू ज़र रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु कहते हैं रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे मुअज़्ज़िन ने अज़ान कहनी चाही। फ़रमाया ठंडा कर फिर इरादा किया फ़रमाया ठंडा कर फिर इरादा किया फ़रमाया ठंडा कर यहाँ तक, कि सांया टीलों के बराबर हो गया।

हदीस न.9.10. :— इमाम अहमद अबू दाऊद अबू अय्यूब व उक़्बा इब्ने आमिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि फ़रमाते हैं स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मेरी उम्मत हमेशा फ़ित़रत पर रहेगी जब तक मग़रिब में इतनी ताख़ीर न करे कि सितारे गुत्थ जायें।

हदीस न.11 :— अबू दाऊद ने अब्दुल अज़ीज़ इब्ने रफ़ीअ़ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत कि फ़रमाते हैं स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम दिन की नमाज़ (अस्र) अब्र के दिन में जल्दी पढ़ो

और मग़रिब में ताख़ीर करो।

हदीस न.12 :– इमाम अहमद अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी है कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर यह बात न होती कि मेरी उम्मत पर मशक़्क़त हो जायेगी तो मैं उनको हुक्म फ़रमा देता कि हर वुज़ू के साथ मिस्वाक करें और इशा की नमाज़ तिहाई या आधी रात तक मुअख़्ख़र कर देता कि रब तबारक व तआला आसमान पर ख़ास तजल्लीए रहमत फ़रमाता है और सुबह तक फ़रमाता रहता है कि है कोई साइल कि उसे दूँ,है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि उसकी मग़फ़िरत करूँ,है कोई दुआ करने वाला कि क़बूल करूँ।

हदीस न.13 :– तबरानी औसत में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब फ़ज्र तुलू कर आए तो कोई नफ़्ल नमाज नहीं सिवा दो रकअत फ़ज्र के।

हदीस न.14 :– बुख़ारी व मुस्लिम में अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बादे सुबह नमाज़ नहीं जब तक कि आफ़ताब बलन्द न हो जाए और अस्र के बाद नमाज नहीं यहाँ तक कि ग़ुरूब हो जाए।

हदीस न.15 :– सहीहैन में अब्दुल्लाह सनाबेही रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आफ़ताब शैतान के सींग के साथ तुलूअ् करता है जब बुलन्द हो जाता है तो जुदा हो जाता है फिर जब सर की सीध पर आता है तो शैतान उससे क़रीब हो जाता है जब ढल जाता है तो हट जाता है फिर ज़ब ग़ुरूब होना चाहता है शैतान उससे क़रीब हो जाता है जब डूब जाता है जुदा हो जाता है तो इन तीन वक़्तों में नमाज़ न पढ़ो।

मसाइले फ़िक़हिय्या

मसअ्ला :– **वक़्ते फ़ज्र** :– फ़ज्र का वक़्त सुबहे सादिक़ से सूरज की किरण चमकने तक है।

फ़ायदा :– सुबहे सादिक़ उस रौशनी को कहते हैं कि पूरब की तरफ़ आज जहाँ से सूरज निकलने वाला है वहाँ आसमान के किनारे पर दिखाई देती है और बढ़ती जाती है यहाँ तक कि पूरे आसमान पर फैल जाती है और ज़मीन पर उजाला हो जाता है। सुबहे सादिक़ पर पहले बीच आसमान में एक दराज़ सफ़ेदी ज़ाहिर होती है जिसके नीचे सारा उफ़क़ (सूरज निकलने और डूबने की जगहों को उफ़क़ कहते हैं) स्याह होता है, सुबहे सादिक़ उसके नीचे से फूटकर उत्तर और दक्षिण दोनों पहलूओं पर फैल कर ऊपर बढ़ती है और यह दराज़ सफ़ेदी उसमें ग़ायब हो जाती है, इसको सुबहे काज़िब (यानी यूँ समझिए कि झूटी सुबह या धोका देने वाली सुबहे जिससे फ़ज्र के होने का धोका होता है)कहते हैं इस से फ़ज्र का वक़्त नहीं होता। यह जो बाज़ ने लिखा है कि सुबहे काज़िब की सफ़ेदी जाकर बाद को तारीकी हो जाती है महज़ ग़लत है सही वह है जो हमने बयान किया।

मसअ्ला :– अफ़ज़ल यह है कि फ़ज्र की नमाज़ में सुबहे सादिक़ की सफ़ेदी चमक कर ज़रा फैलनी शुरूअ् हो उसका एअ्तिबार किया जाए और इशा और सहरी खाने में सफ़ेदी के तुलू के शुरूअ् होने का एअ्तेबार किया जाए। (कहने का मतलब यह है कि अगर इशा या सहरी का वक़्त

निकलना है तो जिस वक़्त तुलूअ़ शुरूअ़ हो उस वक़्त को मानें और अगर फ़ज्र का वक़्त निकलना हो तो सुबहे सादिक़ की सफ़ेदी चमक कर जब फैले उस वक़्त को मानें। जैसे कि आगे के मसाइल से साफ़ हो जाएगा)

फ़ायदा :– सुबहे सादिक़ चमकने से तुलूए आफ़ताब तक उन शहरों में कम से कम 1 घंटा 18 मिनट है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 35 मिनट, न इससे कम होगा न इससे ज़्यादा। 21 मार्च को 1 घंटा 18 मिनट होता है फिर बढ़ता रहता है यहाँ तक कि 22 जून को पूरा 1 घंटा 35 मिनट हो जाता है । फिर घटना शुरू होता है यहाँ तक कि 22 सितम्बर को 1 घंटा 18 मिनट हो जाता है। फिर बढ़ता है यहाँ तक कि 22 दिसम्बर को 1 घंटा 24 मिनट होता है। फिर कम होता रहता है यहाँ तक कि 21 मार्च को वही 1 घंटा 18मिनट हो जाता है। जो शख़्स सही वक़्त न जानता हो उसे चाहिए कि गर्मियों में सूरज निकलने से 1 घंटा 40 मिनट पहले सहरी छोड़ दे खुसूसन जून जुलाई में और जाड़ों में डेढ़ घंटा रहने पर खुसूसन दिसम्बर जनवरी में और मार्च सितम्बर के अवाख़िर (इन दोनों महीने के आख़िरी पाँच छः दिन) में जब दिन रात बराबर होते हैं तो सहरी 1घंटा 24 मिनट पर छोड़े और सहरी छोड़ने का जो वक़्त बयान किया गय उसके आठ दस मिनट बाद अज़ान कही जाए ताकि सहरी और अज़ान दोनों तरफ़ एहतियात रहे। बाज़ नावाकिफ़ आफ़ताब निकलने से दो पौने दो घंटे पहले अज़ान कह देते हैं फिर उसी वक़्त सुन्नत बल्कि फ़ज्र भी बाज़ दफ़ा पढ़ लेते हैं, न यह अज़ान हुई न नमाज़। बाज़ों ने रात का सातवाँ हिस्सा वक़्ते फ़ज्र समझ रखा है यह हरगिज़ सही नहीं। माह जून व जुलाई में जबकि दिन बड़ा होता है। और रात तक़रीबन दस घंटे की होती है इन दिनों में तो अलबत्ता वक़्ते सुबह रात का सातवाँ हिस्सा या उससे चन्द मिनट पहले हो जाता है मगर दिसम्बर जनवरी में जबकि रात चौदह घंटे की होती है उस वक़्त फ़ज्र का वक़्त नवाँ हिस्सा बल्कि उससे भी कम हो जाता है। फ़ज्र का वक़्त कब शुरू होता है इसकी शनाख़्त दुश्वार है खुसूसन उस वक़्त जब कि गुबार हो या चाँदनी रात हो लिहाज़ा हमेशा तुलूए आफ़ताब का ख़्याल रखें कि आज जिस वक़्त तुलूअ़ हुआ दूसरे दिन उसी हिसाब से ऊपर ज़िक्र हुए वक़्त के अन्दर अन्दर अज़ान व नमाज़े फ़ज्र अदा की जाए।

वक़्ते ज़ोहर व जुमा :– आफ़ताब ढलने से उस वक़्त तक है कि हर चीज़ का साय अलावा सायए असली के दो गुना हो जाए। (मुतव्वन)

फ़ाइदा : – हर दिन का साया असली वह साया है कि उस दिन आफ़ताब के ख़त्ते निस्फ़ुन्नहार (उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई वह रेखा है जिस वक़्त सूरज ठीक ऊपर होता है यानी आधा दिन हो गया होता है और इस रेखा से सूरज के ढलते ही ज़ोहर का वक़्त शुरू हो जाता है) पर पहुँचने के वक़्त होता है। सायए असली मौसम और शहरों के मुख़्तलिफ़ होने से मुख़्तलिफ़ होता है। दिन जितना घटता है साया उतना बढ़ता जाता है और दिन जितना बढ़ता जाता है साया कम होता जाता है यानी जाड़ों में ज़्यादा होता है और गर्मियों में कम और उन शहरों में जो कि ख़त्ते इस्तेवा (विषुवत रेखा) के क़रीब में है कम होता है बल्कि बाज़ मौसम में बाज़ जगह बिल्कुल होता ही नहीं।

जब आफ़ताब बिल्कुल सिम्ते रास पर होता है चुनाँचे सर्दी के मौसम दिसम्बर में हमारे मुल्क के अर्ज़े बलद (अक्षाँश) 28 डिग्री के क़रीब पर है साढ़े आठ क़दम से ज़्यादा यानी सवाए के क़रीब हो जाता है और मक्का मुअ़ज़्ज़मा में जो 21 डिग्री पर है इन दिनों में सात क़दम से कुछ ही ज़्यादा होता है इस से ज़्यादा फिर नहीं होता। इसी तरह गर्मी के मौसम में मक्का मुअ़ज़्ज़मा में 27 मई से 30 मई तक दोपहर के वक़्त बिल्कुल साया नहीं होता उसके बाद फिर वह साया उलटा ज़ाहिर होता है यानी साया जो उत्तर को पड़ता था अब मक्का मुअ़ज़्ज़मा में दक्षिण को पड़ता है और 22 जून तक पाव क़दम तक बढ़कर फिर घटता है यहाँ तक कि 15 जुलाई से 18 जुलाई तक फिर ख़त्म हो जाता है। इस के बाद फिर उत्तर की तरफ़ ज़ाहिर होता है और मुल्क में न कभी दक्षिण की तरफ़ पड़ता है न ख़त्म होता है बल्कि सब से कम साया 22 जून को आधा क़दम बाक़ी रहता है।(अज़ इफ़ादाते रज़विया जि.2 पे० 327)

फ़ायदा :– आफ़ताब ढलने की पहचान यह है कि बराबर ज़मीन में एक सीधी लकड़ी इस तरह सीधी गाड़ें कि पूरब या पश्चिम को बिल्कुल झुकी न हो। आफ़ताब जितना बलन्द होता जाएगा उस लकड़ी का साया कम होता जाएगा जब कम होना रूक जाए उस वक़्त ख़त्ते निस्फ़ुन्नहार पर पहुँचा और उस वक़्त का साया सायए अस्ली है, उस के बाद बढ़ना शुरू होगा। यह दलील है कि ख़त्ते निस्फ़ुन्नहार से मुताज़ाविज़ हुआ यानी आगे बढ़ा अब ज़ोहर का वक़्त हुआ। यह एक तख़मीना यानी अन्दाज़ा है इसलिए कि साये का कम या ज़्यादा होना ख़ुसूसन गर्मी के मौसम में जल्द पहचान ने में नहीं आता यानी फ़र्क़ पता नहीं चल पाता। इससे बेहतर तरीक़ा ख़त्ते निस्फ़ुन्नहार निकालने का यह है कि बराबर ज़मीन में निहायत सही कम्पास से सुई की सीध पर ख़त्ते निस्फ़ुन्नहार खींच दें और इन मुल्कों में उस ख़त के दक्षिणी किनारे पर कोई मख़रूती शक्ल (लम्ब व्रत्तीय शंकु) निहायत बारीक नोकदार लकड़ी खूब सीधी गाड़ दें कि पूरब या पश्चिम को बिल्कुल न झुकी हो और वह ख़त्ते निस्फ़ुन्नहार उस क़ाएदे के ठीक बीच में हो जब उसकी नोक का साया उस ख़त (रेखा) पर ठीक ठीक आ जाए यानी उस को ढक ले तो उस वक़्त ठीक दोपहर होगी। जब यह बाल बराबर पूरब को झुके दोपहर ढल गया ज़ोहर का वक़्त आ गया।

वक़्ते अ़स्र : ज़ोहर का वक़्त ख़त्म होने के बाद यानी सिवा सायए असली के दो मिस्ल साया होने से आफ़ताब डूबने तक है। (मुतव्वन)

फ़ायदा :– इन शहरों में अ़स्र का वक़्त कम अज़ कम 1 घंटा 35 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा 6 मिनट है। इसकी तफ़सील यह है कि 24 अक्तूबर तहवीले अक़रब से आख़िर माह तक 1 घंटा 36 मिनट फिर 1 नवम्बर से 18 फ़रवरी यानी पौने चार महीने तक तक़रीबन एक घंटा 35 मिनट। साल में यह सब से छोटा अ़स्र का वक़्त है। इन शहरों में कभी अ़स्र का वक़्त इससे कम नहीं होता। फिर 19 फ़रवरी तहवीले हूत से ख़त्म माह तक 1 घंटा 36 मिनट। फिर मार्च के पहले हफ़्ते में 1 घंटा 37 मिनट दूसरे हफ़्ते में 1 घंटा 38 तीसरे हफ़्ते में 1 घंटा 40 मिनट। फिर 21 मार्च तहवीले हमल से आख़िर माह तक 1 घंटा 41 मिनट फिर अप्रैल के पहले हफ़्ते में 1 घंटा 43 मिनट

दूसरे हफ़्ते में 1 घंटा 45 मिनट तीसरे हफ़्ते में 1 घंटा 48 मिनट। फिर 20 व 21 अप्रैल तहवीले सौर (व्रष) से आख़िर माह तक 1 घंटा 50 मिनट फिर मई के पहले हफ़्ते में 1 घंटा 53 मिनट दूसरे हफ़्ते में 1 घन्टा 55 मिनट तीसरे हफ़्ते में 1 घन्टा 58 मिनट। फिर 22 व 23 मई तहवीले जौज़ा से आख़िर माह तक 2 घंटा 1 मिनट फिर जून के पहले हफ़्ते में 2 घंटा 3 मिनट दूसरे हफ़्ते में 2 घंटा 4 मिनट तीसरे हफ़्ते में 2 घंटा 5 मिनट। फिर 22 जून तहवीले सरतान से आख़िर माह तक 2 घंटें 6 मिनट फिर जुलाई के पहले हफ़्ते में 2 घंटे 5 मिनट और दूसरे हफ़्ते में 2 घंटे 4 मिनट तीसरे हफ़्ते में 2 घंटे 2 मिनट फिर 23 जुलाई तहवीले असद को 2 घंटे 1 मिनट इसके बाद आख़िर से माह तक 2 घंटें फिर अगस्त के पहले हफ़्ते में 1 घंटे 58 मिनट दूसरे हफ़्ते में 1 घंटा 55 मिनट तीसरे हफ़्ते में 1 घंटा 51 मिनट। फिर 23 व 24 अगस्त को तहवीले सुम्बला को 1 घंटा 50 मिनट फिर उसके बाद से आख़िर माह तक 1 घंटा 48 मिनट फिर सितम्बर के पहले हफ़्ते में 1 घंटा 46 मिनट फिर दूसरे हफ़्ते में 1 घंटा 44 मिनट, तीसरे हफ़्ते में 1 घंटा 42 मिनट। फिर 23 व 24 सितम्बर तहवीले मीज़ान 1 घंटा 41 मिनट फिर उसके बाद आख़िर माह तक 1 घंटा 40 मिनट फिर अक्तूबर के पहले हफ़्ते में 1 घंटे 39 मिनट, दूसरे हफ़्ते में 1 घंटे 38 मिनट तीसरे हफ़्ते में 23. अक्तूबर तक 1 घंटा 37 मिनट में ग़ुरूबे आफ़ताब से पहले वक़्ते अ़स्र शुरू होता है।

वक़्ते मग़रिब :– ग़ुरूबे आफ़ताब से ग़ुरूबे शफ़क़ तक है। (मुतब्बन)

मसअ्ला :– शफ़क़ हमारे मेज़हब में उस सफ़ेदी का नाम है जो पश्चिम की जानिब में सुर्ख़ी डूबने के बाद उत्तर दक्षिण दिशा में सुबहे सादिक़ की तरह फैली रहती है। (हिदाया जि. 1 पेज 66 ,शरहे वक़ाया, जि.1 पेज 130 आ़लमगीरी,जि. 1 पेज 48 इफ़ादाते रज़वीया जि. 2 पेज 203) और यह वक़्त उन शहरों में कम से कम 1 घंटा 18 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 35 मिनट होता है। (फ़तावा रज़विया) फ़क़ीर ने भी इसका बकसरत तजर्बा किया।

फ़ायदा :– हर रोज़ के सुबह और मग़रिब दोनों के वक़्त बारबर होते है।

वक़्ते इशा व वित्र :– वह सफ़ेदी जिसके रहने तक मग़रिब का वक़्त रहता है जब वह ख़त्म हो जाती है उस वक़्त से लेकर सुबहे सादिक़ यानी फ़ज्र का वक़्त शुरू होने तक है। उस उत्तर दक्षिण फ़ैली हुई सफ़ेदी के बाद जो सफ़ेदी पूरब पश्चिम दूर तक फ़ैली रहती है उसका कुछ एअ्तेबार नहीं। वह पूरब की तरफ़ वाली सुबहे काज़िब की तरह है।

मसअ्ला :– अगर्चे इशा और वित्र का वक़्त एक है मगर उन में तरतीब फ़र्ज़ है कि इशा से पहले वित्र की नमाज़ पढ़ ली तो होगी ही नहीं अलबत्ता भूल कर अगर वित्र पहले पढ़ लिए या बाद को मालूम हुआ कि इशा की नमाज़ बेवुज़ू पढ़ी थी और वित्र वुज़ू के साथ तो वित्र हो गए।(दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी जि. पेज 48)

मसअ्ला :– जिन शहरों में इशा का वक़्त ही न आए कि शफ़क़ डूबते ही या डूबने से पहले फ़ज्र तुलूअ् कर आए (जैसे बुलग़ार व लन्दन कि इन जगहों में हर साल चालीस रातें ऐसी होती हैं कि इशा का वक़्त आता ही नहीं और बाज़ दिनों में सेकन्डों और मिनटों के लिए होता है) तो वहाँ वालों को चाहिए कि इन दिनों की इशा व वित्र की क़ज़ा पढ़ें। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

नमाज़ों के मुस्तहब वक़्तों का बयान

फ़ज्र में ताख़ीर (देरी) मुस्तहब है यानी इस्फ़ार (जब ख़ूब उजाला हो यानी ज़मीन रौशन हो जाए) में शुरूअ़ करे मगर ऐसा वक़्त होना मुस्तहब है कि चालीस से साठ आयत तक तरतील के साथ पढ़ सके फिर सलाम फेरने के बाद इतना वक़्त बाक़ी रहे कि अगर नमाज़ दोहराना पड़े तो तहारत करके तरतील के साथ चालीस से साठ आयतें दोबारा पढ़ सके और इतनी देर करना मकरूह है कि तुलूए आफ़ताब का शक हो जाए।(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार जि. 1 पेज 245 ,आलमगीरी जि. 1 पेज 48)

मसअ्ला :– हाजियों के लिए मुज़दलेफ़ा में बिल्कुल अव्वल वक़्त फ़ज्र पढ़ना मुस्तहब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरतों के लिए हमेशा फ़ज्र की नमाज़ अव्वल वक़्त यानी तारीकी में पढ़ना मुस्तहब है और बाक़ी नमाज़ों में यह बेहतर है कि मर्दों की जमाअ़त का इन्तिज़ार करें जब जमाअ़त हो चुके तो पढ़ें। (दुर्रे मुख़्तार जिल्द 1 पेज 245)

मसअ्ला :– जाड़ों की ज़ोहर जल्दी मुस्तहब है गर्मियों में ताख़ीर ख़्वाह तन्हा पढ़े या जमाअ़त के साथ। हाँ अगर गर्मियों में ज़ोहर की नमाज़ अव्वल वक़्त में होती हो तो मुस्तहब वक़्त के लिए जमाअ़त का तर्क करना जाइज़ नहीं। रबी का मौसम जाड़ों के हुक्म में है और ख़रीफ़ गर्मियों के हुक्म में। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 245 आलमगीरी जि. 1 पेज 48)

मसअ्ला :– जुमे का मुस्तहब वक़्त वही है जो ज़ोहर के लिए है। (बहर जि. 1 पेज 247)

मसअ्ला :– अ़स्र की नमाज़ में हमेशा ताख़ीर मुस्तहब है मगर इतनी ताख़ीर की कि क़ुर्से आफ़ताब यानी आफ़ताब की टिकिया में ज़र्दी आ जाए कि उस पर बेतकल्लुफ़ बे ग़ुबार व बुख़ार निगाह जमने लगे, धूप ज़र्दी का एअ़्तेबार नहीं। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– बेहतर यह है कि ज़ोहर मिस्ले अव्वल में पढ़े और अ़स्र मिस्ले सानी के बाद।

मसअ्ला :– तजर्बे से साबित हुआ कि क़ुर्से आफ़ताब में यह ज़र्दी उस वक़्त आ जाती है जब ग़ुरूब में बीस मिनट बाक़ी रहते हैं तो इसी क़द्र वक़्त कराहत हैं यूँही तुलूअ़ के 20 मिनट के के बाद नमाज़ के जवाज़ का वक़्त हो जाता है।(फ़तावा रज़विया) कहने का मतलब यह है कि तुलूअ़ के बाद नमाज़ या कोई भी दूसरा सजदा मना है और बीस मिनट के बाद दूसरी नमाज़ जैसे क़ज़ा नवाफ़िल या इश्राक़ की नमाज़ का वक़्त हो जाता है। (फ़तावा रज़विया जि. 2 पे0.193)

मसअ्ला :– ऊपर ताख़ीर का लफ़्ज़ आया है उसका मतलब यह है मुस्तहब वक़्त के दो हिस्से किए जायें पिछले हिस्से यानी बाद वाले हिस्से में अदा करें। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला :– अ़स्र की नमाज़ मुस्तहब वक़्त में शुरूअ़ की थी मगर इतना तूल दिया कि मकरूह वक़्त आ गया तो इसमें कराहत नहीं। (बादल)हो उस दिन के सिवा मग़रिब में हमेशा जल्दी करना मुस्तहब है और दो रकअ़त से ज़्यादा की देर करना मकरूह तन्ज़ीही और इतनी देर करना कि तारे गुथ जायें मकरूहे तहरीमी है, हाँ अगर उज़्र है जैसे मुसाफ़िर या मरीज़ तो हरज नहीं।(दुर्रे मुख़्तार, जि.1पे.246)

मसअ्ला :– इशा में तिहाई रात तक ताख़ीर मुस्तहब है और आधी रात तक ताख़ीर मुबाह यानी जबकि आधी रात तक होने से पहले फ़र्ज़ पढ़ चुके और इतनी ताख़ीर कि रात ढल गई

मकरूह है कि ऐसा करने से जमाअत छोटी होगी। (बहर, जि. 1 पेज 248 दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पे. 246)

मसअला :– इशा की नमाज़ से पहले सोना और इशा के बाद दुनिया की बातें करना क़िस्से कहानी कहना सुनना मकरूह है,ज़रूरी बातें और तिलावत क़ुर्आन मजीद और ज़िक्र और दीनी मसाइल और नेक लोगों के क़िस्से और मेहमान से बातचीत करने में हरज नहीं। यूँही तुलूए फ़ज्र से तुलूए आफ़ताब तक जिक्रे इलाही के सिवा हर बात मकरूह है । (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 246)

मसअला :– जो शख़्स जागने पर एअ्तेमाद रखता हो उसको आख़िर रात में वित्र पढ़ना मुस्तहब है वर्ना सोने से पहले पढ़ ले फिर अगर पिछले पहर को आँख खुली तो तहज्जुद पढ़े वित्र का लौटाना जाइज़ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अब्र के दिन अ़स्र व इशा में जल्दी करना मुस्तहब है और बाक़ी नमाज़ों में ताख़ीर।

मसअला :– सफ़र वग़ैरा किसी उ़ज़्र की वजह से दो नमाज़ों का एक वक़्त में जमा करना हराम है ख़्वाह यूँ हो कि दूसरी को पहले ही के वक़्त में पढ़े या यूँ कि पहली में इस क़द्र ताख़ीर करे कि उस का वक़्त जाता रहे और दूसरी के वक़्त में पढ़े मगर इस दूसरी सूरत में पहली नमाज़ ज़िम्मे से साक़ित हो गई कि बसूरत क़ज़ा पढ़ली अगर्चे नमाज़ के क़ज़ा करने का कबीरा गुनाह सर पर हुआ और पहली सूरत में तो दूसरी नमाज़ होगी ही नहीं और फ़र्ज़ ज़िम्मे पर बाक़ी है। हाँ अगर किसी उ़ज़्र मसलन सफ़र या मर्ज़ वग़ैरा से इस तरह पढ़ी कि हक़ीक़तन दोनों अपने अपने वक़्तों में अदा हों तो कोई हरज नहीं। (आलमगीरी)

मसअला:– अ़रफ़ा और मुज़्दलफ़ा इस हुक्म में अलग है कि अ़रफ़ा में ज़ोहर व अ़स्र वक़्ते ज़ोहर मे पढ़ी जायें और मुज़्दलफ़ा में मग़रिब व इशा इशा के वक़्त में पढ़ी जायेंगी। (आलमगीरी 1–49)

नमाज़ के मकरूह वक़्तों का बयान

तुलूअ़ व ग़ुरूब व निस्फ़ुन्नहार इन तीनों वक़्तों में कोई नमाज़ जाइज़ नहीं न फ़र्ज़ न वाजिब न नफ़्ल न अदा न क़ज़ा यूँही सजदए तिलावत व सजदए सहव भी नाजाइज़ है। अल्बत्ता उस रोज़ अगर अ़स्र की नमाज़ नहीं पढ़ी तो अगर्चे आफ़ताब डूबता हो पढ़ ले मगर इतनी ताख़ीर करना हराम है। हदीस में इसको मुनाफ़िक़ की नमाज़ फ़रमाया। तुलू से मुराद आफ़ताब का किनारा ज़ाहिर होने से उस वक़्त तक है कि उस पर निगाह चौंधयाने लगे जिसकी मिक़दार किनारा चमकने से बीस मिनट तक है और वह वक़्त से कि आफ़ताब पर निगाह ठहरने लगे डूबने तक ग़ुरूब है यह वक़्त भी बीस मिनट है। निस्फ़ुन्नहार से मुराद निस्फ़ुन्नहार शरई से निस्फ़ुन्नहार हक़ीक़ी यानी आफ़ताब ढलने तक है। निस्फ़ुन्नहारे शरई जिसको ज़हवए कुबरा कहते हैं यानी तुलूए फ़ज्र से ग़ुरूब आफ़ताब तक आज जो वक़्त है उसके बराबर बराबर दो हिस्से करें। पहले हिस्से के ख़त्म पर निस्फ़ुन्नहार शरई है और उस वक़्त से आफ़ताब ढलने तक वक़्ते इस्तेवा और हर नमाज़ के लिए इस वक़्त में मुमानअत (मना) है। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 248 ,रद्दुल मुहतार, आलमगीरी फ़तावा रज़विया जि. 2 पेज 306)

मसअ्ला : – अ़वाम अगर सुबह की नमाज़ आफ़ताब निकलने के वक़्त पढ़े तो मना न किया जाये (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 248)

मसअ्ला :– ममनूअ् वक़्त (यानी जिन वक़्तों में नमाज़ मना है) अगर जनाज़ा लाया जाए तो उसी वक़्त पढ़ें कोई कराहत नहीं। कराहत उस सूरत में है कि पहले से जनाज़ा तैयार था और इतनी देर की कि वक़्ते कराहत आ गया। (आलमगीरी जि.1पेज 49)

मसअ्ला :– कराहत वाले वक़्तों में अगर आयते सजदा पढ़ी तो बेहतर यह है कि सजदे में ताख़ीर करे यहाँ तक कि कराहत का वक़्त जाता रहे और मकरूह वक़्त में अगर सजदा कर लिया तो भी जाइज़ है अगर आयते सजदा उस वक़्त पढ़ी थी कि मकरूह वक़्त नहीं था और अब सजदा मकरूह वक़्त में कर रहा है तो ऐसा करना मकरूहे तहरीमी है। (आलमगीरी जि 1 पेज 49)

मसअ्ला :– मकरूह वक़्तों में क़ज़ा नमाज़ नाजाइज़ है और अगर क़ज़ा शुरू कर ली तो वाजिब है कि क़ज़ा तोड़ दे और अगर तोड़ी नहीं तो फ़र्ज़ साक़ित हो जाएगा मगर गुनाहगार होगा।
(दुर्रे मुख़्तार,जि.1 पेज 249 आलमगीरी जि. 1 पेज 49)

मसअ्ला :– किसी ने ख़ास इन्हीं वक़्तों में नमाज़ पढ़ने की नज़र मानी या मुतलक़न नमाज़ पढ़ने की नज़र मानी दोनों सूरतों में इन वक़्तों में उस नज़र का पूरा करना जाइज़ नहीं बल्कि वक़्ते कामिल में अपनी नज़र पूरी करे। (दुर्रे मुख़्तार, जि. 1 पेज 250 आलमगीरी 1–49)

मसअ्ला :– इन वक़्तों में नफ़्ल नमाज़ शुरू की तो वह नमाज़ वाजिब हो गई अगर उस वक़्त पढ़ना जाइज़ नहीं। लिहाज़ा वाजिब है कि तोड़ दे और वक़्ते कामिल में क़ज़ा पढ़े और अगर पूरी कर ली तो गुनाहगारहुआ और अब क़ज़ा वाजिब नहीं। (गुनिया जि. 1 पेज 242 , दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 49)

मसअ्ला :– जो नमाज़ वक़्ते मुबाह या मकरूह में शुरूअ् कर के फ़ासिद कर दी थी उसको भी इन वक़्तों में पढ़ना नाजाइज़ है। (दुर्रे मुख़्तार जि. 2, 251)

मसअ्ला :– इन वक़्तों में क़ुर्आन की तिलावत बेहतर नहीं बेहतर यह है कि ज़िक्र व दुरूद शरीफ़ में मशग़ूल रहे। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 250)

मसअ्ला :– बारह वक़्तों में नवाफ़िल पढ़ना मना है और उनके बाज़ यानी न. 6 व न. 12 में फ़राइज़ व वाजिबात व नमाज़े जनाज़ा सजदए तिलावत तक की भी मुमानअ़त है।

(1) तुलूए फ़ज्र से तुलए आफ़ताब तक कि इस दरमियान में सिवा दो रकअ़्त सुन्नते फ़ज्र के कोई नफ़्ल नमाज़ जाइज़ नहीं। (आलमगीरी जि. 1 पेज 49 दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 251)

मसअ्ला :– अगर कोई शख़्स तुलूए फ़ज्र से पहले नमाज़े नफ़्ल पढ़ रहा था, एक रकअ़्त पढ़ चुका था कि फ़ज्र तुलू कर आई तो दूसरी भी पढ़ कर पूरी कर ले और यह दोनों रकअ़्तें सुन्नते फ़ज्र के क़ाइम मुक़ाम नहीं हो सकतीं और अगर चार रकअ़्त की नियत की थी और एक रकअ़्त के बाद तुलूए फ़ज्र हुआ और चारों रकअ़्तें पूरी कर लीं तो पिछली दो रकअ़्तें सुन्नत के क़ाइम मक़ाम हो जायेंगी। (आलमगीरी जि. 1–49)

मसअ्ला :– नमाज़े फ़ज्र के बाद से तुलूए आफ़ताब तक अगर्चे वक़्त ज़्यादा बाक़ी हो अगर्चे सुन्नते

फ़ज्र फ़र्ज़ से पहले न पढ़ी थी और अब पढ़ना चाहता हो जाइज़ नहीं।(आलमगीरी,जि.1–49 रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 257)

मसअला :– फ़र्ज़ से पहले सुन्नते फ़ज्र शुरू करके फ़ासिद कर दी थी और अब फ़र्ज़ के बाद उसकी क़ज़ा पढ़ना चाहता है यह भी जाइज़ नहीं। (आलमगीरी जि. 1 पेज 49)

(2) अपने मज़हब की जमाअ़त के लिये इक़ामत हुई तो इक़ामत से ख़त्म जमाअ़त तक नफ़्ल व सुन्नत पढ़ना मकरूहे तहरीमी है। अलबत्ता अगर नमाज़े फ़ज्र क़ाइम हो चुकी और जानता है कि सुन्नत पढ़ेगा जब भी जमाअ़त मिल जायेगी अगर्चे क़अ्दा में शिरकत होगी तो हुक्म है कि जमाअ़त से अलग और दूर सुन्नते फ़ज्र पढ़कर जमाअ़त में शरीक हो और जो जानता है कि सुन्नत में मशग़ूल होगा तो जमाअ़त जाती रहेगी और सुन्नत के ख़्याल से जमाअ़त तर्क की यह नाजाइज़ व गुनाह है और बाक़ी नमाज़ों में अगर्चे जमाअ़त मिलना मालूम हो सुन्नतें पढ़ना जाइज़ नहीं।

(आलमगीरी, जि. 1 पेज 49 दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 252)

(3) अपने मज़हब की जमाअ़त के लिये इक़ामत हुई तो इक़ामत से ख़त्म जमाअ़त तक नफ़्ल मना है। नफ़्ल नमाज़ शुरू कर के तोड़ दी थी उसकी क़ज़ा भी उस वक़्त में मना है और पढ़ ली तो नाकाफ़ी है क़ज़ा उसके ज़िम्मे से साक़ित न हुई। (आलमगीरी जि. 1 पेज 251 दुर्रे मुख़्तार)

(4) गुरूबे आफ़ताब से फ़र्ज़े मग़रिब तक कोई दूसरी नमाज़ नफ़्ल या क़ज़ा मना है। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार) मगर इमाम इब्ने हुमाम ने दो रकअ़त ख़फ़ीफ़ का इस्तिस्ना फ़रमाया।

(5) जिस वक़्त इमाम अपनी जगह से ख़ुतबए जुमा के लिये खड़ा हो उस वक़्त से फ़र्ज़े जुमा ख़त्म होने तक नमाज़े नफ़्ल मकरूह है यहाँ तक कि जुमा की सुन्नतें भी।

(6) ऐन ख़ुतबे के वक़्त अगर्चे पहला हो या दूसरा और जुमे का हो या ख़ुतबए ईदैन, कुसूफ़(सूरज ग्रहण की नमाज़)व इस्तिस्क़ा (बारिश के लिये पढ़ी जाने वाली नमाज़) हज व निकाह का हो हर नमाज़ हत्ताकि क़ज़ा भी नाजाइज़ है मगर साहिबे तरतीब (साहिबे तरतीब वह कि जिसकी छः या इस से ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा बाक़ी हों) के लिया ख़ुतबए जुमा के वक़्त क़ज़ा की इजाज़त है।

मसअला :– जुमे की सुन्नतें शुरूअ़ की थीं कि इमाम ख़ुतबे के लिए अपनी जगह से उठा चारों रकअ़तें पूरी कर ले। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

(7) नमाज़े ईदैन से पहले नफ़्ल मकरूह है ख़्वाह घर में पढ़े या ईदगाह व मस्जिद में।

(आलमगीरी जि.1 पेज 49 दुर्रे मुख़्तार जि.1–253)

(8) नमाज़े ईदैन के बाद नफ़्ल मकरूह है जबकि ईदगाह या मस्जिद में पढ़े घर में पढ़ना मकरूह नहीं। अ़रफ़ात में जो ज़ोहर व अ़स्र मिलाकर पढ़ते हैं उनके दरमियान में और बाद में भी नफ़्ल व सुन्नत मकरूह है।(आलमगीरी, जि. 1 पेज 49 दुर्रे मुख़्तार)

(10) मुज़दलेफ़ा में जो मग़रिब व इशा जमा किये जाते हैं फ़क़त इनके दरमियान में नफ़्ल व सुन्नत पढना मकरूह है बाद में मकरूह नहीं। (आलमगीरी, जि 1 पेज 49 दुर्रे मुख़्तार,जि. 1 पेज 253)

(11) फ़र्ज़ का वक़्त तंग हो तो हर नमाज़ यहाँ तक कि सुन्नते फ़ज्र व ज़ोहर मकरूह हैं।

(12) जिस बात से दिल बटे और दफ़ा कर सकता हो उसे बे दफ़ा किये हर नमाज़ मकरूह है

मसलन पाख़ाने या पेशाब या रियाह (गैस या वायु) का ग़लबा हो मगर जब वक़्त जाता हो तो पढ़ ले फिर फेरे (आलमगीरी,जि. 1 पेज 49 वग़ैरा) यूँही खाना सामने आ गया और उसकी ख़्वाहिश हो ग़रज़ कोई ऐसा काम हो जिससे दिल बटे ख़ुशूअ में फ़र्क़ आए उन वक़्तों में भी नमाज़ पढ़ना मकरूह। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– फ़ज्र और ज़ोहर के पूरे वक़्त अव्वल से आख़िर तक बिला कराहत हैं (बहरूराईक़) यानी यह नमाज़े अपने वक़्त के जिस हिस्से में पढ़ी जायें हरगिज़ मकरूह नहीं।

अज़ान का बयान

अल्लाह तआ़ाल फ़रमाता है :–

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ اِنَّنِیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ۝ (پ۲۴ ع۱۹)

तर्जमा :– "उससे अच्छी किसकी बात जो अल्लाह की तरफ़ बुलाए और नेक काम करे और यह कहे कि मैं मुसलमान हूँ"।

अमीरूल मोमिनीन फ़ारूके आज़म और अ़ब्दुल्लाह इब्ने ज़ैद बिन अ़ब्दे रब्बेही रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा को अज़ान ख़्वाब में तालीम हुई। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया यह ख़्वाब हक़ है और अ़ब्दुल्ला इब्ने ज़ैद रदियल्लहु तआ़ला अ़नहु से फ़रमाया जाओ बिलाल को तलक़ीन करो वह अज़ान कहें कि वह तुम से ज़्यादा बलन्द आवाज़ हैं। इस हदीस को अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व दारमी ने रिवायत किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने बिलाल रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु को हुक्म फ़रमाया कि अज़ान के वक़्त कानों में उँगलियाँ कर लो कि इसके सबब आवाज़ बलन्द होगी। इस हदीस को इब्ने माजा ने अ़ब्दुर्रहमान इब्ने सअ़द रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत किया अज़ान कहने की बड़ी फ़ज़ीलतें हदीसों में आई हैं, बाज़ फ़ज़ाइल ज़िक्र किए जाते हैं।

हदीस न.1 :– मुस्लिम व अहमद व इब्ने माजा मुआ़विया रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मुअ़ज़्ज़िनों की गर्दनें क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा दराज़ होंगी। अ़ल्लामा अ़ब्दुर्रऊफ़ मनादी तैसीर में फ़रमाते हैं यह हदीस मुतावातिर है और हदीस के मअ़्ना यह बयान फ़रमाते हैं कि मुअ़ज़्ज़िन रहमते इलाही के बहुत उम्मीदवार होंगे कि जिसको जिस चीज़ की उम्मीद होती है उसकी तरफ़ गर्दन दराज़ करता है या उसके यह मअ़्ना हैं उनको सवाब बहुत है और बाज़ों ने कहा कि इससे यह इशारा है कि शर्मिन्दा न होंगे, इसलिए कि जो शर्मिन्दा होता है, उसकी गर्दन झुक जाती है।

हदीस न.2 :– इमाम अहमद अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि मुअ़ज़्ज़िन की जहाँ तक आवाज़ पहुँचती है उसके लिए मग़फ़िरत कर दी जाती है और हर तर व ख़ुश्क जिसने उसकी आवाज़ सुनी उसकी तस्दीक़ करता है और एक रिवायत में है हर तर व ख़ुश्क जिसने आवाज़ सुनी उसके लिये गवाही देगा। दूसरी रिवायत में है हर ढेला और पत्थर उसके लिए गवाही देगा।

हदीस न.3 :– बुख़ारी व मुस्लिम व मालिक और अबू दाऊद अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से

रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जब अज़ान कही जाती है शैतान गोज़ मारता हुआ भागता है(यानी आवाज़ के साथ हवा ख़ारिज करता हुआ भागता हैं) यहाँ तक कि अज़ान की आवाज़ उसे न पहुँचे। जब अज़ान पूरी हो जाती है चला आता है फ़िर जब इक़ामत कही जाती है भाग जाता है जब पूरी हो लेती है आ जाता है और ख़तरा डालता है फ़लाँ बात याद कर फ़लाँ बात याद कर वह जो पहले याद न थी यहाँ तक कि आदमी को यह नहीं मालूम होता कि कितनी पढ़ी।

हदीस न.4 :– सही मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि हुज़ूर फ़रमाते हैं शैतान जब अज़ान सुनता है इतनी दूर भागता है जैसे रौहा (जगह का नाम) और रौहा मदीने से छत्तीस मील के फ़ासले पर है।

हदीस न.5 :– तबरानी इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम अज़ान देने वाला कि सवाब का तालिब है उस शहीद की मिस्ल है कि ख़ून में आलूदा है और जब मरेगा क़ब्र में उसके बदन में कीड़े नहीं पड़ेंगे।

हदीस न.6 :– इमाम बुख़ारी अपनी तारीख़ में अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जब मुअज़्ज़िन अज़ान कहता है रब तआ़ला अपना दस्ते क़ुदरत उसके सर पर रखता है और यूंहीं रहता है यहाँ तक कि अज़ान से फ़ारिग़ हो और उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है जहाँ तक आवाज़ पहुँचे जब वह फ़ारिग़ हो जाता है रब तआ़ला फ़रमाता है "मेरे बन्दे ने सच कहा और तूने हक़ गवाही दी लिहाज़ा तुझे बशारत हो"।

हदीस न.7 :– तबरानी सग़ीर में अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जिस बस्ती में अज़ान कही जाये अल्लाह तआ़ला अपने अ़ज़ाब से उस दिन उसे अमन देता है।

हदीस न.8 :– तबरानी मअ़क़ल इब्ने यसार रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जिस क़ौम में सुबह को अज़ान हुई उनके लिए अल्लाह के अ़ज़ाब से शाम तक अमान है और जिनमें शाम को अज़ान हुई उनके लिये अल्लाह के अ़ज़ाब से सुबह तक अमान है।

हदीस न.9 :– अबू यअ़ला मुसनद में उबई रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मैं जन्नत में गया उसमें मोती के गुम्बद देखे उसकी ख़ाक मुश्क की है। फ़रमया ऐ जिब्रील, यह किस के लिए है। अ़र्ज़ की हुज़ूर की उम्मत के मुअज़्ज़िनों और इमामों के लिए।

हदीस न.10 :–इमाम अहमद अबू सईद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम अगर लोगों को मालूम होता कि अज़ान कहने में कितना सवाब है तो उस पर आपस में तलवार चलती।

हदीस न.11 :– तिर्मिज़ी व इब्ने माजा इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि फ़रमाते

हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसने सात बरस सवाब के लिये अज़ान कही अल्लाह
तआला उसके लिये नार से बराअत (दोज़ख़ से आज़ादी) लिख देगा।

हदीस न.12 :– इब्ने माजा व हकीम इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसने बारह बरस अज़ान कही उसके लिये जन्नत वाजिब हो
गई और हर रोज़ उसकी अज़ान के बदले साठ नेकियाँ और इक़ामत (नमाज़ से पहले कही जाने
वाली तकबीर) के बदले तीस नेकियाँ लिखी जायेंगी।

हदीस न.13 :– बैहकी की रिवायत सौबान रदियल्लाहु तआला अन्हु से यूँ है कि फ़रमाते हैं
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसने साल भर अज़ान पर मुहाफ़ज़त की यानी
हमेशा अज़ान दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई।

हदीस न.14 :– बैहक़ी ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसने पाँच नमाज़ों की अज़ान ईमान की बिना पर सवाब के
लिये कही उसके जो गुनाह पहले हुए हैं माफ़ हो जायेंगे जो अपने साथियों की पाँच नमाज़ों में
इमामत करे ईमान की बिना पर सवाब के लिए तो जो गुनाह पहले हुए मुआफ़ कर दिये जायेंगे।

हदीस न.15 :– इब्ने असाकिर अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते है सल्लल्लाहु
तआला अलैहि वसल्लम जो साल भर अज़ान कहे और उस पर उजरत तलब न करे क़यामत के
दिन बुलाया जायेगा और जन्नत में दरवाजे पर खड़ा किया जायेगा और उस से कहा जायेगा
जिस के लिए तू चाहे शफ़ाअत कर।

हदीस न.16 :– ख़तीब व इब्ने असाकिर अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुअज़्ज़िनों का हश्र यूँ होगा कि जन्नत की ऊँटनियों
पर सवार होंगे उनके आगे बिलाल रदियल्लाहु तआला अन्हु होंगे सब के सब बलन्द आवाज़ से
अज़ान कहते हुए आयेंगे लोग उनकी तरफ़ नज़र करेंगे और पूछेंगे यह कौन लोग हैं ? कहा जाएगा
उम्मते मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़िन हैं लोग ख़ौफ़ में हैं और उनको
ख़ौफ़ नहीं लोग ग़म में है उनको ग़म नहीं।

हदीस न.17 :– अबुश्शैख़ अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि फ़रमाते हैं
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब अज़ान कही जाती है आसमान के दरवाज़े खोल दिये जाते
हैं और दुआ क़बूल होती है जब इक़ामत का वक़्त होता है दुआ रद्द नहीं की जाती। अबू दाऊद व
तिर्मिज़ी की रिवायत उन्हीं से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्ल्म ने फ़रमाया
अज़ान व इक़ामत के दरमियान दुआ रद्द नहीं की जाती।

हदीस न.18 :– दारमी व अबू दाऊद ने सुहैल इब्ने सअद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की
हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं दो दुआयें रद्द नहीं होतीं या बहुत कम
रद्द होती हैं अज़ान के वक़्त और जिहाद की शिद्दत के वक़्त।

हदीस न.19 :– अबुश्शैख़ ने रिवायत की कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐ

इब्ने अब्बास अज़ान को नमाज़ से तअल्लुक़ है तो तुम में कोई शख़्स अज़ान न कहे मगर पाकी की हालत में।

हदीस न.20 :– तिर्मिज़ी, अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम :–

لَا يُؤَذِّنُ اِلَّا مُتَوَضِّئٌ

तर्जमा :– " कोई शख़्स अज़ान न दे मगर बा–वुज़ू"।

हदीस न.21 :– बुख़ारी व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा व अहमद जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो अज़ान सुनकर यह दुआ पढ़े उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। दुआ यह है :–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَ الصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ(سَيِّدِنَا)مُحَمَّدَ نِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَ نِ الَّذِيْ وَ عَدْتَّهٗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह इस दुआए ताम और नमाज़ बरपा होने वाले के मालिक तू हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीलत और बलन्द दर्जा अता कर और उनको मक़ामे महमूद में खड़ा कर जिसका तूने वअ्दा किया है बेशक तू वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता।

हदीस न.22 :– इमाम अहमद व मुस्लिम व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई की रिवायत इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से है कि मुअज़्ज़िन का जवाब दे फिर मुझ पर दुरूद पढ़े फिर वसीले का सवाल करे।

हदीस न.23 :– तबरानी की रिवायत में इब्ने अब्बास रदियल्लहु तआला अन्हुमा से यह भी है :–

وَاجْعَلْنَا فِيْ شَفَاعَتِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

तर्जमा :– "और कर दे हमको उनकी शफ़ाअत में क़यामत के दिन"।

हदीस न.24 :– तबरानी कबीर में कअ्ब इब्ने अजरह रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर ने फ़रमाया जब तू अज़ान सुने तो अल्लाह के दाई (अल्लाह की तरफ़ बुलाने वाले) का जवाब दे।

हदीस न.25 :– इब्ने माजा अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मुअज़्ज़िन को अज़ान कहते सुनो तो जो वह कहता हो तुम भी कहो।

हदीस न.26 :– फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मोमिन को बदबख़्ती व नामुरादी के लिए काफ़ी है कि मुअज़्ज़िन को तकबीर कहते सुने और जवाब न दे।

हदीस न.27 :– कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जुल्म है पूरा जुल्म और कुफ़्र है और निफ़ाक़ है यह कि अल्लाह के मुनादी(एअ्लान करने वाले)को अज़ान कहते सुने और हाज़िर न हो यह दोनों हदीसें तबरानी ने मआज़ इब्ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की। अज़ान

के जवाब का निहायत अज़ीम सवाब है।

हदीस न.28 :– अबुश्शैख़ की रिवायत मुग़ीरा इब्ने शुअ़बा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है उसकी मग़फ़िरत हो जायेगी।

हदीस न.29 :– इब्ने अ़साकिर ने रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐ गिरोहे ज़नान (औरतों का गिरोह) जब तुम बिलाल को अज़ान और इक़ामत कहते सुनो तो जिस तरह वह कहता है तुम भी कहो कि अल्लाह तआ़ला तुम्हारे लिए हर कलिमे के बदले एक लाख नेकी लिखेगा और हज़ार दर्जे बलन्द फ़रमायेगा और हज़ार गुनाह मिटा देगा औ़रतों ने अ़र्ज़ की कि यह तो औ़रतों के लिए है मर्दों के लिए क्या है। फ़रमाया मर्दों के लिए दूना।

हदीस न.30 :– तबरानी की रिवायत हज़रते मोमिन रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से है कि औ़रतों के लिए हर कलिमे के मुक़ाबिल दस लाख दरजे बलंद किये जायेंगे। फ़ारूक़े आज़म रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने अ़र्ज़ की कि यह औ़रतों के लिए है मर्दों के लिए क्या है?फ़रमाया मर्दों के लिए दूना।

हदीस न.31 :– हाकिम व अबू नईम अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया मुअज़्ज़िन को नमाज़ पढ़ने वाले पर दो सौ बीस नेकी ज़्यादा हैं मगर वह जो उसके मिस्ल कहे और अगर इक़ामत कहे तो एक सौ चालीस नेकी हैं मगर वह जो उसके मिस्ल कहे।

हदीस न.32 :– सहीह मुस्लिम में अमीरूल मोमिनीन हज़रत उमर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि फ़रमाते है सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मुअज़्ज़िन अज़ान दे तो जो शख़्स उसके मिस्ल कहे और जब वह 'हय्याअ़लस्सलाह' और 'हय्याअ़ललफ़लाह' कहे तो यह लाहौ–ला–वला कुव्वता इल्ला बिल्ला कहे जन्नत में दाखिल होगा।

हदीस न. 33 :– अबूदाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने रिवायत की ज़ियाद इब्ने हारिस सुदाई रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु कहते हैं नमाज़े फ़ज्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने अज़ान कहने का मुझे हुक्म दिया। मैंने अज़ान कही बिलाल रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने इक़ामत कहना चाही फ़रमाया सुदाई ने अज़ान कही और जो अज़ान दे वही इक़ामत कहे।

मसाइले फ़िक़हिया

अज़ान उ़र्फ़े शरअ़ में एक ख़ास क़िस्म का एअ़लान है जिसके लिए अलफ़ाज़ मुक़र्रर हैं। अज़ान के अ़लफ़ाज़ यह हैं :–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ۔ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ۔ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ۔ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ .

मसअ़ला :– फ़र्ज पंजगाना (यानी पाँचों वक़्तों की नमाज़) कि उन्हीं में जुमा भी है जब जमाअ़ते मुस्तहब्बा के साथ मस्जिद में वक़्त पर अदा किए जायें तो उनके लिए अज़ान सुन्नते मुअक्कदा है और इसका हुक्म वाजिब की तरह है कि अगर अज़ान न कही तो वहाँ के सब लोग गुनाहगार होंगे यहाँ तक कि इमामे मुहम्मद रहमतुल्लाहि अ़लैहि ने फ़रमाया अगर किसी शहर के सब लोग अज़ान

हमे बड़ी मुसर्रत हो रही है कि अल्लाह त'आला और उसके हबीब सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम के हुक्म फ़ज़्ल-ओ-करम से और बुज़ुर्गाने दीन सिलसिला-ए-क़ादिरिया बिलख़ुसूस पिराने पीर दस्तगीर हुज़ूर ग़ौस-ए-आज़म शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रादिअल्लाहु त'आला अन्हू के फ़ैज़ से क़िताब बहार-ए-शरीअत (हिस्सा 01 से 10) हिंदी में पीडीएफ [PDF] में आप की ख़िदमत में पेश की जा रही है।

ज़माना-ए- क़दीम से अवमुन्नास की इस्लाहे हाल और हिदायते उख़रवी व दुनयवी के लिए हक़ सदाक़त के जाम की फ़राहमी की जाती रही हैं और ये इलतेज़ाम ख़ालिक़-ए-क़ायनात जल्ला जलालहु ने ब अहसान अपनी मख़लूक़ के लिए फ़रमाया है। अम्बिया व मुर्सलीन के बेहतरीन दौर के बाद उसने यह ख़िदमत अपने मुक़र्रबीन रिज़वानुल्लाह त'आला अलैहिम अजमईन के सुपुर्द की और यह सिलसिला अला हालही जारी व सारि है।

मज़हब-ए-इस्लाम अल्लाह त'आला का पसंदीदा दीन है। ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नही जिसके लिए इस्लाम ने हमे क़ानून न दिया हो।

आज जिस दौर से हम गुज़र रहे है हमारा मुस्लिम तबका उर्दू की तरफ ध्यान नही दे रहा है और नई नस्ल तो बिल्कुल ही उर्दू से नावाक़िफ़ होती जा रही है। नतीजे के तौर पर दीनी और मज़हबी दिलचस्पियाँ कम हो रही है और हम अपने हाल को ग़ैर मुंज़बित तरीके पे छोड़े रहते है।

लिहाज़ा ये किताब हिंदी में लिखी गई है और आप सब की आसानी के लिए हम ने इस किताब को पीडीएफ फ़ाइल में आप की ख़िदमत में पेश किया है।
आप सब से हमारी गुज़ारिश है कि अपनी मसरूफ ज़िन्दगी में से रोज़ाना वक़्त निकाल कर बुज़ुर्गो की तस्नीफ़ करदा किताबो को मुताला में रखें, इंशा अल्लाह त'आला दीन और दुनिया दोनो में मक़बूल होंगे।

दुआओं के तलबगार

वसीम अहमद रज़ा खान और साथी
+91-8109613336

तर्क कर दें तो मैं उन से जंग करूँगा और अगर एक शख़्स छोड़ दे तो उसे मारूँगा और क़ैद करूँगा। (ख़ानिया जि.1 पेज66 व हिन्दिया,जि. 1 पेज 150,दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मस्जिद में बिला अज़ान व इक़ामत जमाअ़त पढ़ना मकरूह। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़ज़ा नमाज़ मस्जिद में पढ़े तो अज़ान न कहे। अगर कोई शख़्स शहर में घर में नमाज़ पढ़े और अज़ान न कहे तो कराहत नहीं कि वहाँ की मस्जिद की अज़ान उसके लिए काफ़ी है और कह लेना मुस्तहब है। (रद्दुल मुहतार 1–257)

मसअ्ला :– गाँव में मस्जिद है कि उसमें अज़ान व इक़ामत होती है तो वहाँ घर में नमाज़ पढ़ने वाले का वही हुक्म है जो शहर में है और मस्जिद न हो तो अज़ान व इक़ामत में उसका हुक्म मुसाफ़िर का सा है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर शहर के बाहर व गाँव, बाग़ या खेती वग़ैरा में है और वह जगह क़रीब है तो गाँव या शहर की अज़ान किफ़ायत करती है फिर भी अज़ान कह लेना बेहतर है और जो क़रीब न हो तो काफ़ी नहीं। क़रीब की हद यह है कि यहाँ तक पहुँचती हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– लोगों ने मस्जिद में जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ी बाद को मालूम हुआ कि वह नमाज़ सही न हुई थी और वक़्त बाक़ी है तो उसी मस्जिद में जमाअ़त से पढ़ें और अज़ान को लौटाना नहीं और ज़्यादा देर न हुई हो तो इक़ामत की भी हाजत नहीं और ज़्यादा वक़्फ़ा हुआ तो इक़ामत कहे और वक़्त जाता रहा तो ग़ैरे मस्जिद में अज़ान व इक़ामत के साथ पढ़ें।

(रद्दुल मुहतार, जि. 1 पेज 262 आलमगीरी जि. 1 पेज 51 मअ् इफ़ादाते रज़विया)

मसअ्ला :– जमाअ़त भर की नमाज़ क़ज़ा हो गई तो अज़ान व इक़ामत से पढ़ें और अकेला भी क़ज़ा के लिए अज़ान व इक़ामत कह सकता है जबकि जंगल में तन्हा हो वर्ना क़ज़ा का इज़्हार गुनाह है व लिहाज़ा मस्जिद में क़ज़ा पढ़ना मकरूह है और पढ़े तो अज़ान न कहे और वित्र की क़ज़ा में दुआए कुनूत के वक़्त दोनों हाथ कानों तक न उठाये। हाँ अगर किसी ऐसे सबब से क़ज़ा हो गई जिसमें वहाँ के तमाम मुसलमान मुबतला हो गये। तो अगर्चे मस्जिद में पढ़े तो अज़ान कहें।

(आलमगीरी जि. 1 पेज 51,दुर्रे मुख़्तार,जि. 1, 262 रद्दुल मुहतार मअ् तन्क़ीह अज़ इफ़ादाते रज़विया)

मसअ्ला :– अहले जमाअ़त से चन्द नमाज़ें क़ज़ा हुईं तो पहली के लिए अज़ान व इक़ामत दोनों कहें और बाक़ियों में इख़्तेयार है ख़्वाह दोनों कहें या सिर्फ़ इक़ामत कहें और दोनों कहना बेहतर यह उस सूरत में है कि एक मज्लिस में वह सब पढ़ें और अगर मुख़्तलिफ़ वक़्तों में पढ़ें तो हर मज्लिस में पहली के लिए अज़ान कहें। (आलमगीरी जि. 1 पेज 51)

मसअ्ला :– वक़्त होने के बाद अज़ान कही जाये वक़्त से पहले कही गई या वक़्त होने से पहले शुरू हुई और इसी बीच अज़ान होते ही में वक़्त आ गया तो लौटाई जाये।(मुतून,दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 258)

मसअ्ला :– अज़ान का मुस्तहब वक़्त वही है जो नमाज़ का है यानी फ़ज्र में रौशनी फैलने के बाद और मग़रिब और जाड़ों की, ज़ोहर में अव्वले वक़्त और गर्मियों की ज़ोहर और हर मौसम की अ़स्र व इशा में निस्फ़ वक़्त और गर्मियों की ज़ोहर, और हर मौसम की अ़स्र व इशा में निस्फ़ वक़्त गुज़रने

के बाद मगर अस्र में इतनी ताख़ीर न हो कि नमाज़ पढ़ते पढ़ते मकरूह वक़्त आ जाये और अगर अव्वल वक़्त अज़ान हुई और आख़िर वक़्त में नमाज़ हुई तो भी सुन्नते अज़ान अदा हो गई।
(दुर्रे मुख़्तार,जि. 1 पेज 258 रद्दुल मुहतार)

मसअला :– फ़राइज़ के सिवा बाक़ी नमाज़ें मसलन वित्र,जनाज़ा ईदैन, नज़्र, सुनने रवातिब (सुन्नते मुअक्कदा)तरावीह, इस्तिस्क़ा (एक नफ़्ल नमाज़ जो बारिश की दुआ के लिए पढ़ी जाती है),चाश्त कुसूफ़ (नफ़्ल नमाज़ जो चाँद गहन के वक़्त पढ़ी जाती है) इन सारी नफ़्ल नमाज़ों में अज़ान नहीं।
(आलमगीरी जि. 1 पेज 50)

मसअला :– बच्चे और मग़मूम (ग़मगीन)के कान में और मिर्गी वाले और ग़ज़बनाक और बदमिज़ाज आदमी या जानवर के कान में और लड़ाई की शिद्दत और आग लगने के वक़्त और मय्यत को दफ़न करने के बाद और जिन्न की सरकाशी के वक़्त और मुसाफ़िर के पीछे और जंगल में जब रास्ता भूल जाये और कोई बताने वाला न हो उस वक़्त अज़ान मुस्तहब है।(रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 258) वबा के ज़माने में भी मुस्तहब है। (फ़तावा रज़विया)

मसअला :– औरतों को अज़ान व इक़ामत कहना मकरूहे तहरीमी है कहेंगी गुनाहगार होंगी और अज़ान दोहराई जायेगी। (आलमगीरी, जि. 1 पेज 50 रद्दुल मुहतार जि.1 पेज 258)

मसअला :– औरतें अपनी नमाज़ अदा पढ़ती हों या क़ज़ा उसमें अज़ान व इक़ामत मकरूह है अगर्चे जमाअ़त से पढ़ें (दुर्रे मुख़्तार जि.1 पेज 262) उनकी जमाअ़त ख़ुद मकरूह है। (मुतून)

मसअला :– ख़ुन्सा (हिजड़ा) व फ़ासिक़ अगर्चे आ़लिम ही हो और नशा वाले और पागल और नासमझ बच्चे और जुनुबी (बेगुस्ला) की अज़ान मकरूह है इन सब की अज़ान का इआ़दा किया जाये यानी दोहराई जाये। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 263)

मसअला :– समझदार बच्चे और ग़ुलाम और अंधे और वलदुज़्ज़िना(यानी जो ज़िना से पैदा हों) और बे– वुज़ू की अज़ान सही है। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 262) मगर बे –वुज़ू अज़ान कहना मकरूह है। (मराक़िल फ़लाह)

मसअला :– जुमे के दिन शहर में ज़ोहर की नमाज़ के लिए अज़ान नाजाइज़ है अगर्चे ज़ोहर पढ़ने वाले माज़ूर हों जिन पर जुमा फ़र्ज़ न हो। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 262)

मसअला :– अज़ान कहने का अहल वह है जिसे नमाज़ के वक़्तों की पहचान हो और वक़्त न पहचानता हो तो उस सवाब का मुस्तहक़ नहीं जो मुअज़्ज़िन के लिए है। (आलमगीरी, ग़ुनिया जि 1 पेज 362)

मसअला :– मुस्तहब यह है कि मुअज़्ज़िन मर्द आ़क़िल, नेक, परहेज़गार,आ़लिम, सुन्नत का जानने वाल इज़्ज़त वाला लोगों के अहवाल का निगराँ और जो जमाअ़त से रह जाने वाले हों ,उनको डाँटने वाला हो ,अज़ान पर मुदावमत करता हो (यानी हमेशा पाबन्दी से पढ़ता हो)और सवाब के लिए अज़ान कहता हो यानी अज़ान पर उजरत न लेता हो अगर मुअज़्ज़िन नाबीना हो और वक़्त बताने वाला कोई ऐसा है कि सही बता दे तो उसका और आँख वाले की अज़ान कहना यकसाँ है।(आलमगीरी जि. 1 पेज 268)

मसअला :– अगर मुअज़्ज़िन ही इमाम भी हो तो बेहतर है। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 268)

मसअला :– एक शख़्स को "एक वक़्त में दो मस्जिदों में अज़ान कहना मकरूह है(दुर्रे मुख़्तार जि.1 पेज 268)

मसअला :– अज़ान व इमामत की विलायत बानीए मस्जिद को है यानी जो उस मस्जिद को बनाने वाला हो उसका हक़ है कि मुअज़्ज़िन व इमाम वही मुक़र्रर करे। वह न हो तो उसकी औलाद उसके ख़ानदान वालों को और अगर अहले मुहल्ला ने किसी ऐसे को मुअज़्ज़िन या इमाम किया जो बानी के मुअज़्ज़िन व इमाम से बेहतर है तो वही बेहतर है। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अगर अज़ान देते में मुअज़्ज़िन मर गया या उसकी ज़ुबान बन्द हो गई या रूक गया और कोई बताने वाला नहीं या उसका वुज़ू टूट गया और वुज़ू करने चला गया या बेहोश हो गया तो इन सब सूरतों में सिरे से अज़ान कही जाये, वही कहे ख़्वाह दूसरा कहे।(दुर्रे मुख़्तार जि.1पेज 263 गुनिया जि.1पेज 361)

मसअला :– अज़ान के बाद मआज़ल्लाह मुरतद हो गया (यानी इस्लाम से फिर गया)तो दोहराने की हाजत नहीं और दोहराना बेहतर है और अगर अज़ान कहते में मुर्तद हो गया तो बेहतर है कि दूसरा शख़्स सिरे से कहे और अगर उसी को पूरा करे तो भी जाइज़ है (आलमगीरी जि. 1 पेज 50) यानी यह दूसरा शख़्स बाक़ी को पूरा करले यह कि वह इस्लाम से फिरने के बाद उसको पूरा करे कि काफ़िर की अज़ान सही नहीं और अज़ान का टूकड़े टुकड़े पढ़ना सही नहीं बाज़ (थोड़ी) का ख़राब होना कुल का ख़राब होना है जैसे नमाज़ की पिछली रकअ़त में फ़साद हो यानी किसी वजह से नमाज़ जाती रहे तो सब फ़ासिद है (इफ़ादाते रज़विया)

मसअला :– बैठ कर अज़ान कहना मकरूह है अगर कही दोहराई जाये मगर मुसाफ़िर अगर सवारी पर अज़ान कह ले तो मकरूह नहीं और इक़ामत मुसाफ़िर भी उतर कर कहे अगर न उतरा और सवारी पर कह ली तो हो जायेगी। (आलमगीरी जि. 1 पेज 50 ,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अज़ान क़िबला रू कहे और इसके ख़िलाफ़ करना मकरूह है और अज़ान दोहराई जाये मगर मुसाफ़िर जब सवारी पर अज़ान कहे और उसका मुँह क़िब्ले की तरफ़ न हो तो हरज़ नहीं।

(दुर्रे मुख़्तार ,आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अज़ान कहने की हालत में बिला उज़्र खकारना मकरूह है और अगर गला पड़ गया या आवाज़ साफ़ करने के लिए खंकारा तो हरज नहीं। (गुनिया)

मसअला :– मुअज़्ज़िन को अज़ान की हालत में चलना मकरूह है और अगर कोई चलता जाये और उसी हालत में अज़ान कहता जाये तो इआ़दा करे। (गुनिया, पेज 361 रद्दुल मुहतार जि.1पेज 263)

मसअला :– अज़ान के बीच में बातचीत करना मना है अगर कलाम किया तो फिर से अज़ान कहे।

(सग़ीरी पेज 196)

मसअला :– अज़ान के अलफ़ाज़ में लहन हराम है मसलन अल्लाह या अकबर के हमज़ा को मद के साथ 'आल्लाह' या 'आकबर,' पढ़ना यूँही अकबर में 'बे' के बाद अलिफ़' बढ़ाना हराम है यानी 'अकबार' पढ़ना हराम है। (दुर्रे मुख़्तार जि.1पेज 250 आलमगीरी वग़ैराहुमा जि.1 पेज 52)

मसअला :– यूँही कलिमाते अज़ान को क़वाइदे मौसीक़ी पर गाना भी लहन व नाजाइज़ है (यानी संगीत के नियमों के अनुसार पढ़ना या गाना हराम है।) (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– सुन्नत यह है कि अज़ान बलन्द जगह कही जाये कि पड़ोस वालों को खूब सुनाई दे और बलन्द आवाज़ से कहे। (बहर)

मसअ्ला :– ताकत से ज़्यादा आवाज़ बलन्द करना मकरूह है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अज़ान मेज़ना पर कही जाए (मस्जिद में जो जगह अज़ान कहने के लिए खास हो उसे मेज़ना कहते हैं)या ख़ारिजे मस्जिद (हर मस्जिद के दो हिस्से होते हैं एक दाख़िले मस्जिद और दूसरी ख़ारिजे मस्जिद कहलाती है वहाँ लोग वुजू वग़ैरा करते हैं) और मस्जिद में अज़ान न कहे (खुलासा आलमगीरी)मस्जिद में अज़ान कहना मकरूह है (ग़ायतुल बयान, फ़तहुल कदीर जि. 2 पेज 29,नज़्मे ज़न्दवेसी,तहतावी अ़लल मराक़ी) यह हुक्म हर अज़ान के लिए है फ़िक्ह की किसी किताब में कोई अज़ान इससे मुसतस्ना (अलग) नहीं। अज़ाने सानी यानी जुमे के ख़ुतबे से पहले जो अज़ान होती है वह भी इसी में दाख़िल है। इमाम इतक़ानी व इमाम इब्नुल हुमाम ने यह मसअ्ला ख़ास बाब जुमा में लिखा, हाँ इसमें एक बात अलबत्ता यह ज़ाइद है कि ख़तीब के महाजी हो यानी सामने बाज़ जगह हिन्दुस्तान में अक्सर जगह रिवाज पड़ गया है मस्जिद के अन्दर मिम्बर से हाथ दो हाथ के फ़ासले पर होती है इसकी कोई सनद किसी किताब में नहीं, हदीस व फ़िक्ह दोनों के ख़िलाफ़ है

मसअ्ला :– अज़ान के कलिमात ठहर ठहर कर कहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर दोनों मिलकर एक कलिमा है। दोनों के बाद सकता करे यानी ठहरे, दरमियान में नहीं और सकता की मिकदार यह है कि जवाब देने वाला जवाब दे ले और सकता का तर्क मकरूह है और ऐसी अज़ान का लौटाना मुस्तहब। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार,जि.1 पेज 259 आलमगीरी जि. 1 पेज 52)

मसअ्ला :– अगर कलिमाते अज़ान या इक़ामत में किसी जगह तक़दीम व ताख़ीर हो गई (यानी तरतीब बिगड़ गई) तो उतने को सही कर ले सिरे से दोहराने की हाजत नहीं और अगर सही न की और नमाज़ पढ़ ली तो नमाज़ लौटाने की हाजत नहीं। (आलमगीरी जि. 1 पेज 52)

मसअ्ल :– 'हय्याअ़लस्सलाह' दाई तरफ़ मुँह करके कहे और 'हय्याअ़ललफ़लाह' बाई जानिब अगर्चे अज़ान नमाज़ के लिए न हो बल्कि मसलन बच्चे के कान में या और किसी लिए कही। यह फेरना फ़कत मुँह का है सारे बदन से न फिरे। (गुनिया,दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर मीनार पर अज़ान कहे तो दाहिनी तरफ़ के ताक से सर निकाल कर हय्याअ़ल-स्सलाह कहे और बायें जानिब के ताक़ से हय्याअ़ललफ़लाह(शरहे वक़ाया)यानी जब बग़ैर इसके आवाज़ पहुँचना पूरे तौर पर न हो (रद्दुल मुहतार जि.1स. 259) यह वहीं होगा कि मीनार बन्द है और दोनों तरफ़ ताक़ खुले हैं और खुले मीनार पर ऐसा न करे बल्कि वहीं सिर्फ़ मुँह फेरना हो और कदम एक जगह क़ाइम।

मसअ्ला :– सुबह की अज़ान में हय्याअ़ललफ़लाह के बाद अस्सलातु ख़ैरुम मिनन नौम कहना मुस्तहब है। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– अज़ान कहते वक़्त कानों के सूराख़ में उंगलियाँ डाले रहना और अगर दोनों हाथ कानों पर रख लिए तो भी अच्छा है (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार) और अव्वल ज़्यादा अच्छा है कि

इरशादे हदीस के मुताबिक है और बलन्द आवाज़ में ज़्यादा मुईन(मददगार)। कान जब बन्द होते हैं आदमी समझता है कि अभी आवाज़ पूरी न हुई ज़्यादा बलन्द करता है। (रज़ा)

मसअला :– इक़ामत अज़ान की तरह है यानी जो अहकाम ज़िक्र हुए वह इसके लिए भी हैं सिर्फ़ बाज़ बातों में फ़र्क़ है इसमें 'हय्याअ़ललफ़लाह़'के बाद 'क़दक़ामतिस्सलाह़'दो बार कहे इसमें भी आवाज़ बलन्द होगी मगर न अज़ान जैसी बल्कि इतनी कि हाज़िरीन तक आवाज़ पहुँच जाये। तकबीर के कलिमात जल्द जल्द कहे दरमियान में सकता न करे, न कानों पर हाथ रखना है, न कानों में उंगलियाँ रखना है और सुबह की इक़ामत में 'अस्सलातुख़ैरूम मिनन नौम' नहीं। इक़ामत बलन्द जगह या मस्जिद से बाहर होना सुन्नत नहीं अगर इमाम ने इक़ामत कही तो क़दक़ामति–स्सलाह के वक़्त आगे बढ़ कर मुसल्ले पर चला जाये।(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार, जि.1 पेज 260 आलमगीरी,जि.1पेज 52)

मसअला :– इक़ामत में भी 'हय्याअ़लस्सलाह़'हय्यअ़लल़फ़लाह़'के वक़्त दायें बायें मुँह फेरे।

(दुर्रे मुख़्तार जि.1 पेज 259)

मसअला :– इक़ामत का सुन्नत होना अज़ान की बनिस्बत ज़्यादा मुअक्कद है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– जिसने अज़ान कही अगर मौजूद नहीं तो चाहे जो इक़ामत कह ले और बेहतर इमाम है और मुअज़्ज़िन मौजूद है तो उसकी इजाज़त से दूसरा कह सकता है कि यह उसी का ह़क़ है और अगर बे–इजाज़त कही और मुअज़्ज़िन को नागवार हो तो मकरूह है। (आलमगीरी जि. 1 पेज 50)

मसअला :– जुनुब (नापाक)व मुह़दिस(जिसे ह़दस हुआ हो मसलन किसी वजह से वुज़ू टुटा हो) की इक़ामत मकरूह है मगर लौटाई नहीं जायेगी। अगर जुनुब अज़ान कहे तो दोहराई जाए वह इस लिए कि अज़ान की तकरार जाइज़ है और इक़ामत दो बार नहीं। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 263)

मसअला :– इक़ामत के वक़्त कोई शख़्स आया तो उसे खड़े होकर इन्तिज़ार करना मकरूह है बल्कि बैठ जाये जब 'हय्याअ़लल़फ़लाह़' पर पहुँचे उस वक़्त खड़ा हो। यूँही जो लोग मस्जिद में मौजूद हैं वह भी बैठे रहें, उस वक़्त उठें जब मुकब्बिर(तकबीर या इक़ामत कहने वाला) हय्याअ़लल़फ़लाह़' पर पहुँचे। यही हुक्म इमाम के लिए है (आलमगीरी जि. 1 पेज 53) आजकल अक्सर जगह रिवाज़ पड़ गया है कि इक़ामत के वक़्त सब लोग खड़े रहते हैं बल्कि अक्सर जगह तो यहाँ तक है कि जब तक इमाम मुसल्ले पर ख़ड़ा न हो उस वक़्त तक तकबीर नहीं कही जाती यह ख़िलाफ़े सुन्नत है।

मसअला :– मुसाफ़िर ने अज़ान व इक़ामत दोनों न कही या इक़ामत न कही तो मकरूह है और अगर सिर्फ़ इक़ामत पर इक्तिफ़ा किया तो कराहत नहीं मगर बेहतर यह है कि अज़ान भी कहे अगर्चे तन्हा हो या उसके सब हमराही वहीं मौजूद हों। (दुर्रे मुख़्तार,जि.1 पेज 264 रद्दुल मुहतार)

मसअला : – शहर के बाहर किसी मैदान में जमाअ़त क़ाइम की और इक़ामत न कही तो मकरूह है और अज़ान न कही तो हरज नहीं मगर ख़िलाफ़े औला है (ख़ानिया जि.1 पेज 74)

मसअला :– मस्जिदे मुहल्ला यानी जिसके लिए इमाम व जमाअ़त मुअ़य्यन हो कि वहीं जमाअ़ते ऊला क़ाइम करता हो उस में जब जमाअ़ते ऊला हो कि वहीं जमाअ़ते ऊला सुन्नत तरीक़े से हो

चुकी हो तो दोबारा अज़ान कहना मकरूह है और बग़ैर अज़ान अगर दूसरी जमाअत क़ाइम की जाये तो इमाम मिहराब में न ख़ड़ा हो बल्कि दाहिने या बायें हट कर ख़ड़ा हो कि इम्तियाज़(ख़ास) रहे इस दूसरी जमाअत के इमाम को मिहराब में ख़ड़ा होना मकरूह है और मस्जिदे मुहल्ला न हो जैसे सड़क,बाज़ार,स्टेशन,सरायें की मस्जिदें जिन में चन्द शख़्स आते हैं और पढ़कर चले जाते हैं फिर कुछ और आये और पढ़ी इसी तरह होता हो तो इस मस्जिद में तकरारे अज़ान मकरूह नहीं बल्कि अफ़ज़ल यही है कि हर गिरोह जो नया आये अपनी अज़ान व इक़ामत के साथ जमाअत करे ऐसी मस्जिद में हर इमाम मिहराब में ख़ड़ा हो(दुर्रे मुख़्तार, जि.1 पेज 265 आलमगीरी,जि.1 पेज 51 फ़तावा क़ाज़ी ख़ाँ,बज़्ज़ाज़िया)मिहराब से मुराद वस्ते मस्जिद है यानी मस्जिद के बीच में होना,ताक़ हो या न हो जैसे मस्जिदुल हराम शरीफ़ जिसमें यह मिहराब असलन नहीं या हर मस्जिदे सैफ़ी(वह जगह जहाँ गर्मियों में नमाज़ पढ़ी जाती है)यानी सिहने मस्जिद उसका वस्त मिहराब है अगर्चे वहाँ इमारत असलन(बिल्कुल)नहीं होती,मिहराबे हक़ीक़ी यही हैं और ताक़ की शक्ल,में मिहराब ज़मानए रिसालत व ज़मानए ख़ुलफ़ाए राशेदीन में न थी। वलीद बादशाह मर्वान के ज़माने में बनाई गई(फ़तावा रज़विया)बाज़ लोगों के ख़्याल में है कि दूसरी जमाअत का इमाम पहले के मुसल्ले पर न ख़ड़ा हो लिहाज़रा मुसल्ला हटा कर वहीं ख़ड़े होते हैं जो इमामे अव्वल के क़ियाम की जगह है यह जहालत है उस जगह से दाहिने बायें हटना चाहिए मुसल्ले अगर्चे वही हों।

मसअ्ला :– अगर अज़ान आहिस्ता हुई तो फिर अज़ान कही जाये और पहली जमाअत जमाअते ऊला नहीं। (क़ाज़ी ख़ाँ जि. 1 पेज 74) मुहल्ले की मस्जिद में कुछ मुहल्ले वालों ने अपनी जमाअत पढ़ली उन के बाद इमाम और बाक़ी लोग आये तो जमाअते ऊला इन्हीं की है पहलों के लिए कराहत यूँही अगर ग़ैर मुहल्ले वाले पढ़ गये उन के बाद मुहल्ले के लोग आये तो जमाअते ऊला यही है और इमाम अपनी जगह पर ख़ड़ा होगा। (आलमगीरी जि. 1 पेज 51)

मसअ्ला :– इक़ामत के बीच में भी मुअज़्ज़िन को कलाम(बातचीत)करना नाजाइज़ है जिस तरह अज़ान में। (आलमगीरी जि. 1 पेज 52)

मसअ्ला :– अज़ान व इक़ामत के बीच में उसको किसी ने सलाम किया तो जवाब न दे। ख़त्म के बाद भी जवाब देना वाजिब नहीं। (आलमगीरी जि. 1 पेज 52)

मसअ्ला :– जब अज़ान सुने तो जवाब देने का हुक्म है यानी मुअज़्ज़िन जो कलिमा कहे उसके बाद सुनने वाला भी वही कलिमा कहे मगर 'हय्याअ़लस्सलाह' और 'हय्याअ़ललफ़लाह' के जवाब में लाहौ–ल वला क़ुव्व–ता इल्ला बिल्लाह' कहे और बेहतर यह है कि दोनों कहे बल्कि इतना लफ़्ज़ और मिला ले :–

مَاشَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَالَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ

तर्जमा :– जो अल्लाह ने चाहा हुआ जो नहीं चाहा नहीं हुआ।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल मुहतार, जि.1पेज 266)

मसअ्ला :–" अस्सलातु ख़ैरूम मिनन नौम' के जवाब में कहे :–

صَدَقْتَ وَ بَرَرْتَ وَ بِالْحَقِّ وَ نَطَقْتَ

तर्जमा :– तू सच्चा और नेकोकार है तूने हक कहा। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जब अज़ान हो तो उतनी देर के लिये सलाम कलाम और जवाबे सलाम तमाम अशग़ाल रोक दे यहाँ तक कि क़ुर्आन मजीद की तिलावत में अज़ान की आवाज़ आये तो तिलावत रोक दे और अज़ान को ग़ौर से सुने और जवाब दे। यूँही इक़ामत में (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– जुनुब भी अज़ान का जवाब दे हैज़ व निफ़ास वाली औरत और खुतबे सुनने वाले और नमाज़े जनाज़ा पढ़ने वाले और जो जिमाअ़ में मशग़ूल या क़ज़ाए हाजत में हो उन पर जवाब नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– जब अज़ान हो तो उतनी देर के लिये सलाम, कलाम, और जवाबे सलाम तमाम अशग़ाल रोक दे यहाँ तक कि क़ुर्आन मजीद की तिलावत में अज़ान की आवाज़ आये तो तिलावत रोक दे और अज़ान को ग़ौर से सुने और जवाब दे। यूँही इक़ामत में (दुर्रे मुख़्तार, जि.1 पेज 262)

मसअला :– जो अज़ान के वक़्त बातों में मशग़ूल रहे उस पर मआज़अल्लाह ख़ातमा बुरा होने का ख़ौफ़ है। (फ़तावा रज़विया)

मसअला :– रास्ता चल रहा था कि अज़ान की आवाज़ आई तो उतनी देर खड़ा हो जाये सुने और जवाब दे। (आलमगीरी बज़्ज़ाज़िया)

मसअला :– इक़ामत का जवाब मुस्तहब है इसका जवाब भी उसी तरह है फ़र्क़ इतना है कि 'क़दक़ामतिस्सलाह' के जवाब में यह कहे

اَقَامَهَااللّٰهُ وَ اَدَامَهَا مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ

तर्जमा :– " अल्लाह इसको क़ाइम रखे और हमेशा रखे जब तक कि आसमान व ज़मीन है।"
या यह कहे।

اَقَامَهَااللّٰهُ وَ اَدَامَهَا وَ جَعَلَنَا مِنْ صَالِحِيْ اَهْلِهَا اَحْيَاءً وَّ اَمْوَاتًا

तर्जमा :–"अल्लाह इसको क़ाइम रखे और हमेशा रखे और हमको ज़िन्दगी और मरने के बाद इसके नेक लोगों में रखे।" (रज़ा)

मसअला :– अगर चन्द अज़ानें सुने तो उस पर पहली ही का जवाब है और बेहतर यह है कि सब का जवाब दे। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अगर अज़ान के वक़्त जवाब न दिया तो अगर ज़्यादा देर न हुई हो अब दे ले।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– जब अज़ान ख़त्म हो जाये तो मुअज़्ज़िन और सामेईन(सुनने वाले) दुरूद शरीफ़ पढ़ें उसके बाद यह दुआ :–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَ الصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ(سَيِّدَنَا)مُحَمَّدَ نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَ نِ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ وَاجْعَلْنَا فِيْ شَفَاعَتِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادِ

तर्जमा :–ऐ अल्लाह इस दुआए ताम और नमाज़ बरपा होने वाले के मालिक तू हमारे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीलत और बलन्द दर्जा अता कर और उनको मक़ामे महमूद में खड़ा कर जिसका तूने वादा किया है बे शक तू वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। (रद्दुल मुहतार, जि.1 पेज 267 गुनिया जि. 1 पेज 365)

मअसला :– जब मुअज़्ज़िन 'अशहदुअन –न मुहम्मदर्रसूलुल्लाह' कहे तो सुनने वाला दुरूद शरीफ़ पढ़े और मुस्तहब है कि अगूँठों को बोसा देकर आँखों से लगा ले और कहे :–

قُرَّةُ عَيْنِىْ بِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ

तर्जमा :– " या रसूलल्लाह! मेरी आंखों की ठंडक हुज़ूर से है ऐ अल्लाह सुनने और देखने की कुव्वत के साथ मुझे फ़ायदा पहुँचा" । (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अज़ाने नमाज़ के अलावा और अज़ानों का भी जवाब दिया जायेगा जैसे बच्चा पैदा होते वक़्त की अज़ान। (रद्दुल मुहतार जि.1 पेज 126)

मसअला :– अगर अज़ान ग़लत कही गई मसलन लहन के साथ तो उस का जवाब नहीं बल्कि ऐसी अज़ान सुने भी नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मुताअख़्ख़िरीन (बाद वाले उ़लमा) ने तसवीब मुस्तहसन रखी है यानी अज़ान के बाद नमाज़ के लिये,दोबारा एअ़लान करना और उसके लिये शरीअ़त ने कोई ख़ास अलफ़ाज़ मुकर्रर नहीं किए बल्कि जो वहाँ का उ़र्फ़ हो मसलन।

اَلصَّلٰوۃُ الصَّلٰوۃُیاقَامَتْ قَامَتِالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ (दुर्रे मुख़्तार जि.1 पेज 261)

मसअला :– मग़रिब की अज़ान के बाद तसवीब नहीं होती (इनाया)और दो बार कह लें तो हरज नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अज़ान व इक़ामत के दरमियान वक्फ़ा करना सुन्नत है। अज़ान कहते ही इक़ामत कह देना मकरूह है मगर मग़रिब में वक्फ़ा तीन छोटी आयतों या एक बड़ी आयत के बराबर हो,बाक़ी नमाज़ों में अज़ान व इक़ामत के दरमियान इतनी देर तक ठहरे कि जो लोग पाबन्दे जमाअ़त हैं आ जायें मगर इतना इन्तिज़ार न किया जाये कि वक़्ते कराहत आ जाये।(दुर्रे मुख़्तार जि.1 पेज 261 आलमगीरी जि.1पेज 53)

मसअला :– जिन नमाज़ों से पहले सुन्नत या नफ़्ल हैं उनमें औला यह है कि मुअज़्ज़िन अज़ान के बाद सुन्नतें व नवाफ़िल पढ़े वर्ना बैठा रहे। (आलमगीरी जि. 1 पेज 53)

मसअला :– रईसे मुहल्ला क़ा उसकी रियासत के सबब इन्तिज़ार मकरूह है हाँ अगर वह शरीफ़ है और वक़्त में गुन्जाइश है तो इन्तिज़ार कर सकते हैं। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 268)

मसअला :– मुतक़द्दिमीन यानी पहले के उ़लमा ने अज़ान पर उजरत लेने को हराम बताया मगर मुतअख़्ख़िरीन यानी बाद के उ़लमा ने जब लोगों में सुस्ती देखी तो इजाज़त दी और अब इसी पर फ़तवा है मगर अज़ान कहने पर अहादीस में जो सवाब इरशाद हुये वह उन्हीं के लिये है जो उजरत नहीं लेते सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला की रज़ा के लिए इस ख़िदमत को अन्जाम देते हैं। हाँ अगर लोग बतौरे ख़ुद मुअज़्ज़िन को साहिबे हाजत समझ कर दे दें तो यह बिलइत्तेफ़ाक़ जाइज़ बल्कि बेहतर है और यह उजरत नहीं (ग़ुनिया 366) जबकि यह मशहूर न हो जाए कि उजरत ज़रूर मिलेगी। (रज़ा)

नमाज़ की शर्तों का बयान

तम्बीह :– इस बाब में जहाँ यह हुक्म दिया गया कि नमाज़ सही है या हो जायेगी या जाइज़ है उससे मुराद फ़र्ज़ अदा होना है यह मतलब नहीं कि बिला कराहत व मुमानअ़त व गुनाह सही व

जाइज़ होगी अकसर जगहें ऐसी हैं कि मकरूह तहरीमी व तर्क वाजिब होगा और कहा जायेगा कि नमाज़ हो गई कि यहाँ इससे बहस नहीं, इसको बाबे मकरूहात में इन्शाअल्लाह तआला बयान किया जायेगा। यहाँ शर्तों का बयान है कि बे उनके नमाज़ होगी ही नहीं। सेहते नमाज़ यानी नमाज़ के सही होने की छः (6) शर्ते हैं –1. तहारत (पाकी)2. सत्रे औरत (बदन का वह हिस्सा जिसका ढकना फ़र्ज़ है) 3. इस्तिकबाले क़िब्ला 4. वक़्त 5. नियत 6. तहरीमा।

पहली शर्त तहारत

यानी नमाज़ी के बदन का हदसे अकबर व असग़र और नजासते हक़ीक़िया क़द्रे मानेअ् से यानी नजासत की वह मिक़दार जिसके लगे रहने से नमाज़ न हो उससे पाक होना। उसके कपड़े और उस जगह का जिस पर नमाज़ पढ़े नजासते हक़ीक़िया क़द्रे मानेअ् से पाक होना (मुतून) हदसे अकबर यानी वह काम जिनसे गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए और हदसे असग़र यानी वह काम जिनसे वुज़ू जाता रहता है और उनसे पाक होने का तरीक़ा वुज़ू व गुस्ल के बयान में गुज़रा और नजासते हक़ीक़िया से पाक करने का बयान दूसरे हिस्से में पाकी से मुतअ़ल्लिक़ यह सब बयान गुज़र चुके यह बातें वहाँ से मालूम की जायें इस पहली नमाज़ शर्त का मतलब यह है कि इस क़द्र नजासत से पाक होना है कि बग़ैर पाक किए नमाज़ होगी ही नहीं मसलन ख़फ़ीफ़ा कपड़े या बदन के उस हिस्से की चौथाई से ज़्यादा जिस में लगी हो इसका नाम क़द्रे मानेअ् है और अगर इससे कम है तो इस का ज़ाइल करना सुन्नत है। यह मसाइल भी बाबुल नजासत (बहारे शरीअ़त के दूसरे हिस्से)में ज़िक्र किए गये।

मसअ्ला :– किसी शख़्स ने अपने को बे वुज़ू गुमान किया और उसी हालत में नमाज़ पढ़ ली बाद को ज़ाहिर हुआ कि बे वुज़ू न था नमाज़ न हुई। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 292)

मसअ्ला :– मुसल्ली अगर ऐसी चीज़ को उठाए हो कि उसकी हरकत से वह भी हरकत करे अगर उसमें नजासत क़द्रे मानेअ् हो तो नमाज़ जाइज़ नहीं मसलन चाँदनी का एक सिरा ओढ़कर नमाज़ पढ़ी और दूसरे में नजासत है अगर रूकू व सुजूद व क़ियाम व क़ादा में उसकी हरकत से उस नजासत की जगह तक हरकत पहुँचती है तो नमाज़ न होगी वर्ना हो जायेगी। यूँही अगर गोद में इतना छोटा बच्चा लेकर नमाज़ पढ़ी कि ख़ुद उसकी गोद में अपनी ताक़त से न रूक सके बल्कि उसके रोकने से थमा हुआ है अगर वह अपनी ताक़त से झुका हुआ है उसके रोकने का मुहताज नहीं तो नमाज़ हो जायेगी कि अब यह उसे उठाये हुये नहीं फिर भी बे–ज़रूरत कराहत से ख़ाली नहीं अगर्चे उसके बदन और कपड़े पर नजासत भी न हो। (दुर्रे मुख़्तार,जि. 1 पेज 269 जि. 1 56 आलमगीरी, रज़ा)

मसअ्ला :– अगर नजासत क़द्रे मानेअ् से कम है जब भी मकरूह है फिर नजासते ग़लीज़ा दिरहम के बराबर है तो मकरूह तहरीमी और उससे कम तो ख़िलाफ़े सुन्नत।(दुर्रे मुख़्तार,आलमगीरी जि. 1 पेज 54)

मसअ्ला :– छत,ख़ेमा शामियाने का ऊपरी हिस्सा अगर नजिस हो और मुसल्ली के सर से ख़ड़े होने में लगे जब भी नमाज़ न होगी (रद्दुल मुहतार जि.1 पेज 269)यानी अगर शामियाने वग़ैरा की नजिस जगह बक़द्रे मानेअ् नमाज़ी के सर को बक़द्रे अदाये रूक्न लगे यानी इतनी देर जितनी देर तीन बार सुब्हानल्लाह कहने में लगे मतलब यह है कि अगर क़द्रे मानेअ् नजासत से छुआ ओर फ़ौरन हटा दिया कि इतना वक़्त न होने पाया कि जितनी देर में तीन बार सुब्हानल्लाह कह ले तो

नमाज़ हो जायेगी और अगर तीन तस्बीह के बराबर या ज़यादा देर की तो नमाज़ न होगी।
मसअ्ला :– अगर नमाज़ी का कपड़ा या बदन नमाज़ के दरमियान में बक़द्रे मानेअ् नापाक हो गया और तीन तस्बीह का वक़्फ़ा हुआ नमाज़ न हुई और अगर नमाज़ शुरू करते वक़्त कपड़ा नापाक था या किसी नापाक चीज़ को लिये हुए था और उसी हालत में शुरू कर ली और 'अल्लाहु अकबर' कहने के बाद जुदा किया तो नमाज़ मुनअ्किद ही न हुई यानी शुरूअ् ही नहीं हुई।(रद्दुल मुहतार)
मसअ्ला :– मुसल्ली (नमाज़ी) का बदन जुनुब या हैज़ व निफ़ास वाली औरत के बदन से मिला रहा या उन्होंने उसकी गोद में सर रखा तो नमाज़ हो जायेगी। (दुर्रे मुख़्तार)
मसअ्ला :– मुसल्ली के बदन पर नजिस कबूतर बैठा नमाज़ हो जायेगी। (बहर)
मसअ्ला :– जिस जगह नमाज़ पढ़े उसके पाक होने से मुराद सज्दे व क़दम रखने की जगह का पाक होना है जिस चीज़ पर नमाज़ पढ़ता हो उसके सब हिस्से का पाक होना सेहते नमाज़ के लिए शर्त नहीं (दुर्रे मुख़्तार जि 1 पेज 270)
मसअ्ला :– मुसल्ली के एक पाँव के नीचे दिरहम से ज़्यादा नजासत हो नमाज़ न होगी। यूँही अगर दोनों पाँव के नीचे थोड़ी–थोड़ी नजासत है कि जमा करने से एक दिरहम हो जायेगी और अगर एक क़दम की जगह पाक थी और दूसरा क़दम जहाँ रखेगा नापाक है उसने इस पाँव को उठाकर नमाज़ पढ़ी हो गई हाँ बे ज़रूरत एक पाँव पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ना मकरूह है।(दुर्रे मुख़्तार जि.1पेज 270)
मसअ्ला :– पेशानी पाक जगह है और नाक नजिस जगह तो नमाज़ हो जायेगी कि नाक दिरहम से कम जगह पर लगती है और बिला ज़रूरत यह भी मकरूह। (रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 270)
मसअ्ला :– सजदे में हाथ या घुटना नजिस जगह होने से सही मज़हब में नमाज़ न होगी (रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 270) और अगर हाथ नजिस जगह हो और हाथ पर सजदा किया तो बिलइजमा यानी सब के नज़दीक नमाज़ न होगी। (दुर्रे मुख़्तार जि 1 पेज 270)
मसअ्ला :– आस्तीन के नीचे नजासत है और उसी आस्तीन पर सजदा किया नमाज़ न होगी (रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 270)अगर्चे नजासत हाथ के नीचे न हो बल्कि चौड़ी आस्तीन के ख़ाली हिस्से के नीचे हो यानी आस्तीन फ़ासिल (आड़, रोक) न समझी जायेगी अगर्चे कपड़ा मोटा हो कि उसके बदन की ताबेअ् है बख़िलाफ़ और मोटे कपड़े के कि नजिस जगह बिछा कर पढ़ी और उसकी रंगत या बू महसूस न हो तो नमाज़ हो जायेगी कि यह कपड़ा नजासत व मुसल्ली में फ़ासिल (रोक) हो जायेगा कि बदने मुसल्ली का ताबेअ् नहीं। यूँही अगर चौड़ी आस्तीन का ख़ाली हिस्सा सजदा करने में नजासत की जगह पड़े और वहाँ न हाथ हो न पेशानी तो नमाज़ हो जयेगी अगर्चे आस्तीन बारीक हो कि अब उस नजासत को बदने मुसल्ली से कोई तअल्लुक़ नहीं। (रज़ा)
मसअ्ला :– अगर सजदा करने में दामन वग़ैरा नजिस ज़मीन पर पड़ते हों तो मुज़िर नहीं (नमाज़ में नुक़सान नहीं) (रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 270)
मसअ्ला :– अगर नजिस जगह पर इतना बारीक कपड़ा बिछा कर नमाज़ पढ़ी जो सत्र के काम में नहीं आ सकता यानी उसके नीचे की चीज़ झलकती हो नमाज़ न हुई और अगर शीशे पर नमाज़ पढ़ी और उसके नीचे नजासत है अगर्चे नुमायाँ (ज़ाहिर)हो नमाज़ हो गई। (रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 270)

दूसरी शर्त सत्रे औरत

यानी बदन का वह हिस्सा जिसका छुपाना फ़र्ज़ है उसको छुपाना। अल्लाह तआला फ़रमाता है :–

خُذُوا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

" हर नमाज़ के वक़्त कपड़े पहनो "। और फ़रमाता है :–

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا

तर्जमा :– "औरतें ज़ीनत यानी ज़ीनत की जगहों को ज़ाहिर न करें मगर वह कि ज़ाहिर हैं।(कि उनके खुले रहने पर जाइज़ होने की वजह से आदत पड़ी हुई है)

हदीस में है जिस को इब्ने अदी ने कामिल में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत किया कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ो तहबंद बाँध लो और चादर ओढ़ लो और यहूदियों की मुशाबहत न करो और अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व हाकिम व इब्ने खुज़ैमा उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बालिग़ औरत की नमाज़ बग़ैर दोपट्टे के अल्लाह तआला क़बूल नहीं फ़रमाता अबू दाऊद ने रिवायत की कि उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ की क्या बग़ैर इज़ार यानी बिला पाजामा वग़ैरा पहने सिर्फ़ कुर्ते और दुपट्टे में औरत नमाज़ पढ़ सकती है। इरशाद फ़रमाया जब कुर्ता पूरा हो कि पुश्ते क़दम को छिपा ले और दार कुतनी बरिवायते अम्र इब्ने शुऐब अन अबीहे अन जद्देही रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नाफ़ के नीचे से घुटने तक औरत है और तिर्मिज़ी ने अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औरत औरत है यानी छुपाने की चीज़ है जब निकलती है शैतान उसकी तरफ़ झाँकता है।

मसअला :– 7 सत्रे औरत हर हाल में वाजिब यानी फ़र्ज़ है ख़्वाह नमाज़ में हो या नहीं, तन्हा हो या किसी के सामने बिला किसी सही ग़र्ज़ के तन्हाई में भी खोलना जाइज़ नहीं और लोगों के सामने या नमाज़ में तो सत्र बिलइजमाअ् फ़र्ज़ है यहाँ तक कि अगर अँधेरे मकान में नमाज़ पढ़ी अगर्चे वहाँ कोई न हो और उसके पास इतना पाक कपड़ा मौजूद है कि सत्र का काम दे और नंगे पढ़ी बिलइजमाअ् नमाज़ न होगी मगर औरत के लिए तन्हाई में जबकि नमाज़ में न हो तो सारा बदन छुपाना वाजिब नहीं बल्कि सिर्फ़ नाफ़ से घुटने तक और मुहारिम के सामने पेट और पीठ का छुपाना भी वाजिब है और ग़ैर महरम के सामने और नमाज़ के लिए अगर्चे तन्हा अंधेरी कोठरी में हो तमाम बदन सिवा पाँच उज़्व के जिसका बयान आयेगा छुपाना फ़र्ज़ है बल्कि जवान औरत को ग़ैर मर्दों के सामने मुँह खोलना भी मना है। (दुर्रे मुख़्तार, जि. 1 पेज 270 रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 272)

मसअला :– इतना बारीक क़पड़ा जिससे बदन चमकता हो सत्र के लिए काफ़ी नहीं उससे नमाज़ पढ़ी तो न हुई (आलमगीरी जि. 1 पेज 52) यूँही अगर चादर में से औरत के बालों की सियाही चमके नमाज़ न होगी (रज़ा) बाज़ लोग बारीक साड़ियाँ और तहबंद बांधकर नमाज़ पढ़ते हैं कि रान चमकती हैं उनकी नमाज़ें नहीं होतीं और ऐसा कपड़ा पहनना जिससे सत्रे औरत न हो सके अलावा नमाज़ के भी हराम है।

मसअ्ला :– दबीज़ (मोटा)कपड़ा जिससे बदन का रंग न चमकता हो मगर बदन से बिल्कुल ऐसा चिपका हुआ है कि देखने से उज़्व की हैअ्त(बनावट)मा़लूम होती है ऐसे कपड़े से नमाज़ हो जायेगी मगर उस उ़ज़्व की त़रफ़ दूसरों को निगाह करना जाइज़ नहीं (रद्दुल मुह़तार)और ऐसा कपड़ा लोगों के सामने पहनना भी मना है और औ़रतों के लिए बदर्जा औला या़नी और ज़्यादा मुमा़नअ़त (मना है)बा़ज़ औ़रतें जो बहुत चुस्त पाजामे पहनती हैं इस मसअ्ले से सबक़ लें।

मसअ्ला :– नमाज़ में सत्र के लिए पाक कपड़ा होना ज़रूरी है या़नी इतना नजिस न हो जिससे नमाज़ न हो सके तो अगर पाक कपड़े पर क़ुदरत है और नापाक पहनकर नमाज़ पढ़ी नामज़ न हुई (आ़लमगीरी जि. 1 पेज 56)

मसअ्ला :– उसके इ़ल्म में कपड़ा नापाक है और उसमें नमाज़ पढ़ी फिर मा़लूम हुआ कि पाक था नमाज़ न हुई । (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 292)

मसअ्ला :–ग़ैर नमाज़ में (या़नी जब नमाज़ में न हो)नजिस कपड़ा पहना तो ह़रज़ नहीं अगर्चे पाक कपड़ा मौजूद हो और जो दूसरा नहीं तो उसी को पहनना वाजिब है (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुह़तार जि. 1 पेज 270)यह उस वक़्त है कि उसकी नजासत खुश्क हो छूट कर बदन को न लगे वर्ना पाक कपड़ा होते हुए ऐसा कपड़ा पहनना मुतलक़न मना है कि बिला वजह बदन नापाक करना है। (रज़ा)

मसअ्ला :– मर्द के लिए नाफ़ के नीचे से घुटनों के नीचे तक औ़रत है या़नी उसका छुपाना फ़र्ज़ है नाफ़ उसमें दाख़िल नहीं और घुटने दाख़िल हैं (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 271 रद्दुल मुह़तार) इस ज़माने में बहुतेरे ऐसे हैं कि तहबंद या पाजामा इस त़रह पहनते हैं कि पेडू का कुछ हिस़्सा खुला रहता है अगर कुर्ते वग़ैरा से इस त़रह छुपा हो कि जिल्द (चमड़े) की रंगत न चमके तो ख़ैर वर्ना ह़राम है और नमाज़ में चौथाई की मिक़दार खुला रहा तो नमाज़ न होगी और बा़ज़ बेबाक ऐसे हैं कि लोगों के सामने घुटने बल्कि रान तक खोले रहते हैं यह भी ह़राम है और इसकी आ़दत है तो फ़ासिक़ है।

मसअ्ला :– आज़ाद औ़रतों और खुन्सा मुश्किल (ऐसा हिजड़ा जिस को औ़रत या मर्द में शामिल करना मुश्किल हो) के लिए सारा बदन औ़रत है सिवा मुँह की टकली और हथेलियों और पाँव के तलवों के ,उसके सर के लटतके हुए बाल और गर्दन और कलाईयाँ भी औ़रत हैं उनका छुपाना फ़र्ज़ है। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 271)

मसअ्ला :– इतना बारीक दुपट्टा जिससे बाल की सियाही चमके औ़रत ने ओढ़ कर नमाज़ पढ़ी न होगी जब तक कि उस पर कोई ऐसी चीज़ न ओढ़े जिससे बाल वग़ैरा का रंग छुप जाए। (आ़लमगीरी जि.1 पेज 54)

मसअ्ला :– बाँदी के लिए सारी पीठ और दोनों पहलू और नाफ़ से घुटनों से नीचे तक औ़रत है खुन्सा मुश्किल रक़ीक़(गुलाम) हो तो उसका भी यही हुक्म है। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 271)

मसअ्ला :– बाँदी सर खोले नमाज़ पढ़ रही थी, नमाज़ के दरमियान ही में मालिक ने उसे आज़ाद कर दिया अगर फ़ौरन अ़मले क़लील या़नी एक हाथ से उसने सर छुपा लिया तो नमाज़ हो गई वर्ना नहीं ख़्वाह उसे अपने आज़ाद होने का इ़ल्म हुआ या नहीं, हाँ अगर उसके पास कोई ऐसी चीज़ ही न थी जिससे सर छुपाये तो हो गई। (दुर्रे मुख़्तार,आ़लमगीरी)

मसअ्ला :— जिन आ़ज़ा का सत्र फ़र्ज़ है उनमें कोई उ़ज़्व चौथाई से कम खुल गया नमाज़ हो गई और अगर चौथाई उ़ज़्व खुल गया और फ़ौरन छुपा लिया जब भी हो गई और अगर बक़द्र एक रूक्न या़नी तीन मर्तबा सुब्हानल्लाह कहने के खुला रहा या बिलक़स्द खोला (या़नी जानबूझ कर)अगर्चे फ़ौरन छुपा लिया नमाज़ जाती रही।(आलमगीरी जि. 1 पेज 55 रद्दुल मुहतार जि. 1–273)

मसअ्ला :— अगर नमाज़ शुरू करते वक़्त उ़ज़्व की चौथाई खुली है या़नी उसी हालत पर अल्लाहु अकबर कह लिया तो नमाज़ शुरू ही न हुई। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :— अगर चन्द आ़ज़ा में कुछ कुछ खुला रहा, कि हर एक उस उ़ज़्व की चौथाई से कम है मगर मजमुआ़ उनका उन खुले हुए आ़ज़ा में जो सब से छोटा है उसकी चौथाई की बराबर है नमाज़ न हुई मसलन औ़रत के कान का नवाँ हिस्सा और पिंडली का नवाँ हिस्सा खुला रहा तो मजमुआ़ दोनों का कान की चौथाई की क़द्र ज़रूर है नमाज़ जाती रही।(आ़लमगीरी जि.1 पेज 55 रद्दुल मुहतार जि.1पेज 274)

मसअ्ला :— औ़रते ग़लीज़ या़नी कुब्ल व दुबुर (पाख़ाने और पेशाब का मक़ाम) और उन के आस पास की जगह और औ़रते ख़फ़ीफ़ा और इन के अ़लावा जो आ़ज़ाए औ़रत हैं। इस हुक्म में सब बराबर हैं ग़िलज़त व ख़िफ़्फ़त बा एअ्तिबारे हुरमते नज़र के है या़नी ज़्यादती और कमी देखने के एअ्तिबार से ह़राम है कि ग़लीज़ा की त़रफ़ देखना ज़्यादा ह़राम है कि अगर किसी को घुटना खोले हुए देखे तो नर्मी के साथ मना करे अगर बाज़ न आये तो उससे झगड़ा न करे और अगर रान खोले हुए है तो सख़्ती से मना करे और बाज़ न आया तो मारे नहीं और अगर औ़रते ग़लीज़ा खोले हुए है तो जो मारने पर क़ादिर हो मसलन बाप या ह़ाकिम वह मारे। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :— सत्र के लिए यह ज़रूरी नहीं कि अपनी निगाह भी उन आ़ज़ा पर न पड़े तो अगर किसी ने सिर्फ़ लम्बा कुर्ता पहना और उसका गिरेबान खुला हुआ है कि अगर गिरेबान से नज़र करे तो आ़ज़ा दिखाई देते हैं नमाज़ हो जायेगी अगर्चे बिलक़स्द (जानबूझ कर) उधर नज़र करना मकरूहे तह़रीमी है। (दुर्रे मुख़्तार, जि. 1 पेज 274 आ़लमगीरी जि.1–54)

मसअ्ला :— औरों से सत्र फ़र्ज़ होने के यह मअ्ना हैं कि इधर उधर से न देख सकें तो मआज़–ल्लाह अगर किसी शरीर ने नीचे झुक कर आ़ज़ा को देख लिया तो नमाज़ न गई। (आलमगीरी)

मसअ्ला :— मर्द में आ़ज़ाए औ़रत नौ हैं आठ अ़ल्लामा इब्राहीम ह़लबी व अ़ल्लामा शामी व अ़ल्लामा त़ह़त़ावी वग़ैराहुम ने गिने।

1. ज़कर (लिंग) मअ् अपने सब अज्व ह़शफ़ा (सुपारी) व क़स्बा(ज़कर की गिरह या उसकी लम्बाई) व कुलफ़ा (ज़कर का चमड़ा)के। 2. अंडकोष यह दोनों मिलकर एक अ़ज़्व हैं उन में फ़क़त़ एक की चौथाई खुलना मुफ़सिदे नमाज़ नहीं 3. दुबुर या़नी पाख़ाना का मक़ाम 4, व 5. हर एक सुरीन जुदा औ़रत है। 6, व 7. हर रान जुदा औ़रत है। चढ्ढे या़नी रान के ऊपर के जोड़ से घुटने तक रान है घुटना भी इस में दाख़िल है अलग उ़ज़्व नहीं तो अगर पूरा घुटना बल्कि दोनों खुल जायें नमाज़ हो जायेगी कि दोनों मिलकर भी एक रान की चौथाई को नहीं पहुचते। 8. नाफ़ के नीचे से अ़ज़्वे तनासुल (लिंग) की जड़ तक और उसके सीध में पुश्त (पीठ) और दोनों करवटों की जानिब सब मिलकर एक औ़रत है। आला ह़ज़रत रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु(जो कि अपने वक़्त के मुजद्दिदे आ़ज़म हैं) ने यह तह़क़ीक़ फ़रमाई कि दुबुर व अंडकोष के दरमियान की जगह भी एक मुस्तक़िल औ़रत है

और उन आज़ा का शुमार और उनके तमाम अहकाम को चार शेरों में जमा फ़रमाया।

ستر عورت بمردنہ عضواست — از تہ ناف تا تہ زانو

ہرچہ ربعش بقدر رکن کشود — یا کشودی دے نماز مجو

ذکر و انثیین و حلقۂ پس — دو سرین ہر فخذ بہ زانوئے او

ظاہر افصل انثیین و دبر — باقی زیر ناف از ہر سو

तर्जमा :– मर्द की शर्मगाह नौ हैं नाफ़ के नीचे से ज़ानू के नीचे तक इनमें से जिसका चौथाई एक रूक्न यानी तीन बार सुब्हानल्लाह के मिक़दार खुल जाये या खोल दे नमाज़ न होगी। ज़कर, खुसिया, दोनों इर्द गिर्द उसके दोनों चूतड़ और पिछली शर्मगाह के नीचे और नाफ़ के नीचे हर तरफ़ से।

मसअ्ला :– आज़ाद औरतों के लिए अलावा पाँच अ़ज़्व कि जिनका बयान गुज़रा सारा बदन औ़रत है और वह तीस आ़ज़ा पर मुश्तमिल कि उनमें जिसकी चौथाई खुल जाये नमाज़ का वही हुक्म है जो ऊपर बयान हुआ 1. सर यानी पेशानी के ऊपर से शुरू गर्दन तक और एक कान से दूसरे कान तक यानी आ़दतन जितनी जगह पर बाल जमते हैं 2. बाल जो लटकते हों। 3 व 4.दोनों कान। 5.गर्दन इसमें गला भी दाख़िल है। 6 व 7. दोनों शाने। 8 व 9. दोनों बाज़ू इनमें कोहनियाँ भी दाख़िल हैं। 10 व 11. दोनों कलाईयाँ यानी कोहनी के बाद से 12. सीना यानी गले के जोड़ से दोनों पिस्तान की ह़द नीचे तक यानी जहाँ पिस्तान की हद ख़त्म होती है। 13. व 14. दोनों हाथों की पुश्त। 15. व 16. दोनों पिस्तानें जबकि अच्छी त़रह उठ चुकी हों अगर बिल्कुल न उठी हों या ख़फ़ीफ़ उभरी हों कि सीने से जुदा उ़ज़्व की हैयत न पैदा हुई हो तो सीने की ताबेअ़ हैं जुदा उज़्व नहीं और पहली सूरत में भी उनके दरमियान की ह़द सीने ही में दाख़िल है, जुदा उ़ज़्व नहीं 17. पेट यानी सीने की ह़द (सीने की ह़द जो ऊपर जिक्र की गई) से नाफ़ के निचले हिस्से तक यानी नाफ़ का भी पेट में शुमार है। 18. पीठ यानी पीछे की जानिब सीने के मुक़ाबिल से कमर तक। 19. दोनों शानों के बीच में जो जगह है बग़ल के नीचे सीने की नीचे ह़द तक दोनों करवटों में जो जगह है और उसके बाद से दोनो करवटों में कमर तक जो जगह है उसका अगला हिस्सा सीने में और पिछला शानों या पीठ में शामिल है और उसके बाद से दोनों करवटों में कमर तक जो जगह है उसका अगला हिस्सा पेट में और पिछला पीठ में दाख़िल है। 20 व 21 बग़ल दोनों सुरीन। 22 व 23 फ़र्ज व दुबुर। 24 व 25 दोनों रानें घुटने भी इन्ही में शामिल हैं। 26 .नाफ़ के नीचे पेड़ू और उससे मिली हुई जो जगह है और उनके मुक़ाबिल पुश्त की जानिब सब मिलकर एक औ़रत है 27 व 28. दोनों पिंडलियाँ टख़नों समेत। 29 व 30 दोनों तलवे और बाज़ उ़लमा ने पुश्ते दस्त और तलवों को औ़रत में दाख़िल नहीं किया।

मसअ्ला :– औ़रत का चेहरा अगर्चे औ़रत नहीं मगर फ़ितने की वजह से ग़ैर महरम के सामने मुँह खोलना मना है यूँही उसकी तरफ़ नज़र करना ग़ैर महरम के लिए जाइज़ नहीं और छूना तो और ज़्यादा मना है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर किसी मर्द के पास सत्र के लिए जाइज़ कपड़ा न हो और रेशमी कपड़ा है तो फ़र्ज़ है कि उसी से सत्र करे और उसी में नमाज़ पढ़े अलबत्ता और कपड़े के होते हुए मर्द को रेशमी कपड़ा पहनना हराम है और उस में नमाज़ मकरूहे तहरीमी (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 275)

मसअला :– कोई शख़्स बरहना (नंगा शख़्स)अगर अपना सारा जिस्म सर समेत किसी एक कपड़े में छुपा कर नमाज़ पढ़े नमाज़ न होगी और अगर सर उससे बाहर निकाल ले हो जायेगी। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– किसी के पास बिल्कुल कपड़ा नहीं तो बैठ कर नमाज़ पढ़े दिन हो या रात घर में हो या मैदान में ख़्वाह वैसे बैठे जैसे नमाज़ में बैठते हैं यानी मर्दों मर्दों की तरह और औरतें औरतों की तरह या पाँव फैला कर और औरते गलीज़ा पर हाथ रखकर और यह बेहतर है और रूकू व सुजूद की जगह इशारा करे और यह इशारा रूकूअ़ व सुजूद से उसके लिये अफ़ज़ल है और यह बैठकर पढ़ना खड़े होकर पढ़ने से अफ़ज़ल ख़्वाह कियाम में रूकूअ़ व सुजूद के लिए इशारा करे या रूकूअ़ व सुजूद करे। (दुर्रे मुख़्तार, जि. 1 रद्दुल मुहतार पेज 275)

मसअला :– ऐसा शख़्स बरहना (नंगा) नमाज़ पढ़ रहा था किसी ने आ़रियतन (यानी थोड़ी देर के लिए) उसको कपड़ा दे दिया या मुबाह (जाइज़)कर दिया नमाज़ जाती रही कपड़ा पहनकर सिरे से पढ़े। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 275)

मसअला :– अगर कपड़ा देने का किसी ने वादा किया तो आख़िर वक़्त तक इन्तेज़ार करे जब देखे कि नमाज़ जाती रहेगी तो बरहना ही पढ़ ले। (रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 276)

मसअला :– अगर दूसरे के पास कपड़ा है और ग़ालिब गुमान है कि माँगने से दे देगा तो माँगना वाजिब है। (रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 276)

मसअला :– अगर कपड़ा मोल मिलता है और उसके पास दाम हाजते अस्लिया से ज़ाइद हैं तो अगर इतने दाम माँगता हो जो अन्दाज़ा करने वालों के अन्दाज़े से बाहर न हों तो ख़रीदना वाजिब (रद्दुल मुहतार) यूँही अगर उधार देने पर राज़ी हो जब भी ख़रीदना वाजिब होना चाहिए।

मसअला :– अगर उसके पास कपड़ा ऐसा है कि पूरा नजिस है तो नमाज़ में उसे न पहने और अगर एक चौथाई पाक है तो वाजिब है कि उसे पहनकर पढ़े बरहना जाइज़ नहीं। यह सब उस वक़्त है कि ऐसी चीज़ नहीं कि कपड़ा पाक कर सके या उसकी नजासत क़द्रे मानेअ़ से कम कर सके वर्ना वाजिब होगा कि पाक करे या तक़लीले नजासत यानी नजासत को कम करे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– चन्द शख़्स बरहना हैं तो तन्हा तन्हा दूर दूर नमाज़ें पढ़ें और अगर जमाअ़त की तो इमाम बीच में खड़ा हो (आलमगीरी जि.1 पेज 55)

मसअला :– अगर बरहना शख़्स को चटाई या बिछौना मिल जाये तो उसी से सत्र करे नंगा न पढ़े यूँही घास या पत्तों से सत्र कर सकता है तो यही करे। (आलमगीरी जि. 1–55)

मसअला :– अगर पूरे सत्र के लिये कपड़ा नहीं और इतना है कि बाज़ आज़ा का सत्र हो जायेगा तो उससे सत्र वाजिब है और उस कपड़े से औरते ग़लीज़ा यानी क़ुबुल, दुबुर (अगली पिछली शर्मगाह) को छुपाये (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– जिसने ऐसी मजबूरी में बरहना नमाज़ पढ़ी तो बादे नमाज़ कपड़ा मिलने पर इआदा नहीं नमाज़ हो गई। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर सत्र का कपड़ा या उसके पाक करने की चीज़ न मिलना बन्दों की जानिब से हो तो नमाज़ पढ़े फिर बाद में लौटाए। (दुर्रे मुख़्तार जि.1 पेज 277)

तीसरी शर्त इस्तिक़बाले क़िब्ला

यानी नमाज़ में क़िब्ला यानी काबा की तरफ़ मुँह करना अल्लाह तआला फ़रमाता है :–

سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ٥

तर्जमा :– " बेवकूफ़ लोग कहेंगे कि जिस क़िब्ले पर मुसलमान लोग थे उन्हें किस चीज़ ने उस से फेर दिया तुम फ़रमा दो अल्लाह ही के लिए मश्रिक़ व मग़रिब है जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ़ हिदायत फ़रमाता है" हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सोलह या सत्रह महीने तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ़ नमाज़ पढ़ी और हुज़ूर को पसन्द यह था कि काबा क़िब्ला हो इस पर यह आयते करीमा नाज़िल हुई और फ़रमाता है :–

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ٥قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ٥

तर्जमा :– " जिस क़िब्ले पर तुम पहले थे हम ने फिर वही इसलिए मुक़र्रर किया कि रसूल की इत्तिबाअ् करने वाले उन से मुतमय्यिज़ (अलग अलग) हो जायें। जो एड़ियों के बल लौट जाते हैं और बेशक यह शाक़ है मगर उन पर जिन को अल्लाह ने हिदायत की और अल्लाह तुम्हारा ईमान ज़ाए (बर्बाद) न करेगा बेशक अल्लाह लोगों मर बड़ा मेहरबान रहम वाला है ऐ महबूब आसमान की तरफ़ तुम्हारा बार बार मुँह उठाना हम देखते हैं तो ज़रूर हम तुम्हें उसी क़िब्ले की तरफ़ फेर देंगे जिसे तुम पसन्द करते हो तो अपना मुँह (नमाज़ में)मस्जिदे हराम की तरफ़ फेरो और ऐ मुसलमानों तुम जहाँ कहीं हो उसी की तरफ़ (नमाज़ में)मुँह करो और बेशक जिन्हें किताब दी गई वह ज़रूर जानते हैं कि वही हक़ है उनके रब की तरफ़ से और अल्लाह उनके कोतकों से ग़ाफ़िल नहीं"।

मसअला :– नमाज़ अल्लाह ही के लिये पढ़ी जाये और उसी के लिये सजदा हो न किसी काबा को अगर किसी ने मआज़ल्लाह कअ्बे के लिये सजदा किया हराम व गुनाहे कबीरा किया और इबादते काबा की नियत की जब तो खुला काफ़िर है के ग़ैरे खुदा की इबादत कुफ़्र है।(दुर्रे मुख़्तार, जि.1 पेज 286व इफ़ादाते रज़विया)

मसअला :– इस्तिक़बाले क़िब्ला आम है कि बिऐनिही कअ्बाए मुअ़ज़्ज़मा की तरफ़ यानी ठीक कअ्बए मुअ़ज़्ज़मा की तरफ़ मुँह हो जैसे मक्का मुकर्रमा वालों के लिए या उस जेहत(दिशा) को मुँह हो जैसे औरों के लिए (दुर्रे मुख़्तार जि.1 पेज 287) यानी तहक़ीक़ यह है कि जो ऐने कअ्बा कि सिम्ते ख़ास तहक़ीक़ कर सकता है अगर्चे कअ्बा आड़ में हो जैसे मक्का मुअ़ज़्ज़मा के मकानों में

जबकि मसलन छत पर चढ़ कर का़बा को देख सकते हैं तो ऐन कअ़बा की त़रफ़ मुँह करना फ़र्ज़ है जेहत काफ़ी नहीं और जिसे यह तह़क़ीक़ नामुमकिन हो अगर्चे ख़ास मक्का मुअ़ज़्ज़मा में हो उसके लिये जेहते कअ़बा को मुँह करना काफ़ी है (इफ़ादाते रज़विया)

मसअ्ला :– कअ़बए मुअ़ज़्जमा के अन्दर नमाज़ पढ़ी तो जिस रूख़ चाहे पढ़े का़बा की छत पर भी नमाज़ हो जायेगी मगर उसकी छत पर चढ़ना मना है (ग़ुनिया वग़ैरा)

मसअ्ला :– अगर सिर्फ़ हतीम की तरफ़ मुँह किया कअ़बा मुअ़ज़्ज़मा मुहाज़ात में न आया नमाज़ न हुई (ग़ुनिया)

मसअ्ला :– जेहते कअ़बा को मुँह होने के यह मअ़ना हैं कि मुँह की सतह का कोई जुज़ का़बे की सिम्त में वाक़ेअ़ हो तो अगर क़िब्ला से कुछ फिरा हुआ है मगर मुँह का कोई जुज़ कअ़बे के मुवाजिहा (मुक़ाबिल) में है नमाज़ हो जायेगी इसकी मिक़दार 45 डिग्री रखी गई है तो अगर 45 डिग्री से ज़ाइद मुँह फिरा हुआ है इस्तिक़बाल न पाया गया नमाज़ न हुई। मसलन 'ख' ग एक रेखा है क अ इस पर लम्ब है और फ़र्ज़ करो कि कअ़बए मुअ़ज़्ज़मा ठीक बिन्दु 'क' के मुहाज़ी है दोनो लम्बों को आधा आधा करते हुये रेखायें 'अ च' और 'अ छ' ख़ीचीं तो यह कोण 45–45 डिग्री के हुए कि लम्ब 90 डिग्री है अब जो शख़्स मक़ामे अ पर खड़ा है अगर बिन्दु 'क की त़रफ़ मुँह करे तो ऐन कअ़बा को मुँह और अगर दाहिने बायें 'च' या 'छ' की त़रफ़ झुके तो जब तक 'च क या 'छ क' के अन्दर है जेहते कअ़बा में है और जब 'छ' से बढ़ कर ग या 'च' से ग़ुज़र कर 'ख की त़रफ़ कुछ भी क़रीब होगा तो अब जेहत से निकल गया नमाज़ न होगी

क
च छ
45° 45°
ख ग
अ

मसअ्ला :– बनाई गई उस इमारते कअ़बा का नाम क़िब्ला नहीं बल्कि वह फ़ज़ा है इस बुनियाद की मुहाज़ात में सातों ज़मीन से अ़र्श तक क़िब्ला ही हैं तो अगर वह इमारत वहाँ से उठा कर दूसरी जगह रख दी जाये और अब उस इमारत की त़रफ़ मुँह कर के नमाज़ पढ़ी न होगी या कअ़बा मुअ़ज़्ज़मा किसी वली की ज़ियारत को गया और उस फ़ज़ा की त़रफ़ नमाज़ पढ़ी हो गई यूँही अगर बलन्द पहाड़ पर या कुँए के अन्दर नमाज़ पढ़ी और क़िब्ले की त़रफ़ मुँह किया नमाज़ हो गई कि फ़ज़ा की त़रफ़ तवज्जोह पाई गई चाहे इमारत की त़रफ़ न हो (रद्दुल मुह्तार जि. 1 पेज 290)

मसअ्ला :– जो शख़्स इस्तिक़बाले क़िब्ला से आ़जिज़ हो मसलन मरीज़ है उसमें इतनी कुव्वत नहीं कि उधर रूख़ बदले और वहाँ कोई ऐसा नहीं जो मुतवज्जेह कर दे या उसके पास अपना या

अमानत का माल है जिसके. चोरी जाने का सही अन्देशा हो या कश्ती के तख़्ते पर बहता जा रहा है और सही अन्देशा है कि इस्तिक़बाल करे तो डूब जायेगा या शरीर जानवर पर सवार है कि उतरने नहीं देता या उतर तो जायेगा मगर बे मददगार सवार न होने देगा या यह बूढ़ा है कि फिर खुद सवार न हो सकेगा और ऐसा कोई नहीं जो सवार करा दे तो इन सब सूरतों में जिस रूख़ नमाज़ पढ़ सके पढ़ ले और उसका इआ़दा या़नी लौटाना भी नहीं ,हाँ सवारी के रोकने पर क़ादिर हो तो रोक कर पढ़े और अगर रोकने में क़ाफ़िला निगाह से छुप जायेगा तो सवारी ठहरना भी ज़रूरी नहीं यूँही रवानी में पढ़े (रद्दुल मुहतार जि1 पेज 290)

मसअला :– चलती कश्ती में नमाज़ पढ़े तो तकबीरे तहरीमा के वक़्त क़िब्ले को मुँह करे और जैसे घूमती जाये यह भी क़िब्ले को मुँह फेरता रहे अगर्चे नफ़्ल नमाज़ हो। (गुनिया)

मसअला :– मुसल्ली के पास माल है और अंन्देशा सही है कि इस्तिक़बाले क़िब्ला करेगा तो चोरी हो जायेगा,ऐसी हालत में कोई ऐसा शख़्स मिल गया जो हिफ़ाज़त करे अगर्चे बाउजरते मिस्ल (आम तौर पर आदमी उस काम की जो उजरत ले उसे उजरते मिस्ल कहते हैं)इस्तिक़बाल फ़र्ज़ है। (रद्दुल मुहतार)या़नी जबकि वह उजरत हाजते असलिया से ज़ाइद इसके पास हो या मुहाफ़िज़ (हिफ़ाज़त करने वाला)आइन्दा लेने पर राज़ी हो और अगर वह नक़द माँगता है और उसके पास नहीं या है मगर हाजते असलिया से ज़ाइद नहीं या है मगर वह उजरते मिस्ल से बहुत ज़्यादा माँगता है तो उस वक़्त हिफ़ाज़त के लिए उसे उजरत पर रखना ज़रूरी नहीं यूहीं पढ़े। (इफ़ादाते रज़विया)

मसअला :– कोई शख़्स क़ैद में है और वह लोग उसे इस्तिक़बाल से मानेअ़ (रोकते) हैं तो जैसे भी हो सके नमाज़ पढ़ ले फिर जब मौक़ा मिले वक़्त में या बाद में तो उस नमाज़ को दोहरा ले।

(रद्दुल मुहतार जि.1 पेज 290)

मसअला :– अगर किसी शख़्स को किसी जगह क़िब्ले की शनाख़्त न हो, न कोई ऐसा मुसलमान है जो बता दे, न वहाँ मस्जिदें व मेहराबें हैं, न चाँद सूरज सितारे निकले हों या हों मगर उसको इतना इल्म नहीं कि उन से मालूम कर सके तो ऐसे के लिये हुक्म है तहर्री करे (या़नी सोचे जिधर क़िब्ला होना दिल में जमें उधर ही मुँह करे) उसके हक़ में वही क़िब्ला है। (आ़म्मए कुतुब)

मसअला :– तहर्री करके नमाज़ पढ़ी बाद को मा़लूम हुआ कि क़िब्ले की तरफ़ नमाज़ नहीं पढ़ी ,हो गई लौटाने की हाजत नहीं। (तनवीरूल अबसार जि. 1 पेज 290)

मसअला :– ऐसा शख़्स अगर बे तहर्री किसी तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़े नमाज़ न हुई अगर्चे 'वाक़ई में क़िब्ले ही की तरफ़ मुँह किया हो, हाँ अगर क़िब्ले की तरफ़ मुँह होना नमाज़ के बाद यक़ीन के साथ मा़लूम हुआ, हो गई और अगर बादे नमाज़ उस तरफ़ क़िब्ला होना गुमान हो यक़ीन न हो या नमाज़ के बीच में उसको क़िब्ला होना मालूम हुआ अगर्चे यक़ीन के साथ तो नमाज़ न हुई। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 292)

मसअला :– अगर सोचा और दिल में किसी तरफ़ क़िब्ला होना साबित हुआ अगर उसके ख़िलाफ़ दूसरी तरफ़ उसने मुँह किया नमाज़ न हुई अगर्चे वाक़ई में वही क़िब्ला था जिधर मुँह किया अगर्चे

बाद को यक़ीन के साथ उसी का क़िब्ला होना मालूम हो। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 292)

मसअला :– अगर कोई जानने वाला मौजूद है उससे दरयाफ़्त नहीं किया ख़ुद ग़ौर करके किसी तरफ़ को पढ़ ली तो अगर क़िब्ले ही की तरफ़ मुँह था हो गई वर्ना नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जानने वाले से पूछा उसने नहीं बताया उसने तहर्री कर के नमाज़ पढ़ ली अब नमाज़ के बाद उसने बताया नमाज़ हो गई दोहराने की हाजत नहीं (मुनिया)

मसअला :– अगर मस्जिदें और मेहराबे वहाँ हैं मगर उन का एअ्तिबार न किया बल्कि अपनी राय से एक तरफ़ को मुतवज्जेह हो लिया या तारे वग़ैरा मौजूद हैं और इल्म है कि उनके ज़रिये से मालूम करे और न किया बल्कि सोच कर पढ़ली दोनों सूरतों में न हुई अगर ख़िलाफ़े जेहत यानी क़िब्ले के रूख़ के ख़िलाफ़ की तरफ़ पढ़ी। (रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 290)

मसअला :– एक शख़्स तहर्री कर के एक तरफ़ पढ़ रहा है तो दूसरे को उसकी इत्तिबाअ् जाइज़ नहीं बल्कि उसे भी तहर्री का हुक्म है अगर उसका इत्तिबाअ् किया तहर्री न की उस दूसरे की नमाज़ न हुई। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अगर तहर्री कर के नमाज़ पढ़ रहा था और नमाज़ के दरमियान में अगर्चे सजदए सहव में राय बदल गई या ग़लती मालूम हुई तो फ़र्ज़ है कि फ़ौरन घूम जाये और पहले जो पढ़ चुका है उस में ख़राबी न आयेगी इसी तरह अगर चारों रकअ्ते चार दिशाओं में पढ़ी जाइज़ हैं और अगर फ़ौरन न फिरा यहाँ तक कि एक रूक्न यानी तीन बार सुबहानल्लाह कहने का वक़्फ़ा हुआ नमाज़ न हुई (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 290)

मसअला :– नाबीना (अन्धा)ग़ैर क़िब्ले की तरफ़ नमाज़ पढ़ रहा था कोई बीना (अंखियारा)आया उसने अन्धे को सीधा कर के उसकी इक़्तिदा की तो अगर वहाँ कोई शख़्स ऐसा था जिस से क़िब्ले का हाल नाबीना दरयाफ़्त कर सकता था मगर न पूछा दोनों की नमाज़ न हुई और अगर कोई ऐसा न था तो नाबीना की होगई और मुक़तदी की न हुई(ख़ानिया,हिन्दिया, जि.1पेज 60 गुनिया 224 रद्दुल मुहतार, जि.1पेज 291)

मसअला :– तहर्री कर के ग़ैरे क़िब्ला को नमाज़ पढ़ रहा था बाद को उसे अपनी राय की ग़लती मालूम हुई और क़िब्ले की तरफ़ फिर गया तो जिस दूसरे शख़्स को उसकी पहली हालत मालूम हो अगर यह भी उसी क़िस्म का है कि उसने भी पहले वही तहर्री की थी और अब उसको भी ग़लती मालूम हुई तो उसकी इक़्तिदा कर सकता है वर्ना नहीं (रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 291)

मसअला : – अगर इमाम तहर्री कर के ठीक जेहत में पहले ही से पढ़ रहा है तो अगर्चे मुक़तदी तहर्री करने वालो में न हो उसकी इक़्तिदा कर सकता है (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 291)

मसअला :– अगर इमाम व मुक़तदी एक ही जेहत को तहर्री कर के नमाज़ पढ़ रहे थे और इमाम ने नमाज़ पूरी कर ली और सलाम फेर दिया अब मसबूक़ (जिसकी शुरू की रकअ्त छूटी हो) व लाहिक़ (जिसकी बीच की रकअ्त छूटी हो)की राय बदल गई तो मसबूक़ घूम जाये और लाहिक़ सिरे से पढ़े (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 291)

मसअला :– अगर पहले एक तरफ़ को राय हुई और नमाज शुरू की फिर दूसरी तरफ़ को राय

पलटी फिर वह पलट गया फिर तीसरी या चौथी बार वही राय हुई जो पहली मरतबा थी तो उसी तरफ़ फिर जाये सिरे से पढ़ने की हाजत नहीं (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 292)

मसअला :– अन्धेरी रात है चन्द शख़्सों ने जमाअत से तहर्री कर के मुख़्तलिफ़ जेहतों में नमाज़ पढी मगर नमाज़ के दरमियान में यह मालूम न हुआ कि इसकी जेहत इमाम की जेहत के ख़िलाफ़ है न मुक़तदी इमाम से आगे है नमाज़ हो गई और अगर बाद नमाज़ मालूम हुआ कि इमाम के ख़िलाफ़ इसकी जेहत थी कुछ हरज नहीं और अगर इमाम के आगे होना मालूम हुआ नमाज़ में या बाद को तो नमाज़ न हुई। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 293)

मसअला :– मुसल्ली ने क़िब्ले से बिला उ़ज़्र क़स्दन बिना किसी मजबूरी के जानबूझ कर सीना फेर दिया अगर्चे फ़ौरन ही क़िब्ले की तरफ़ हो गया नमाज़ फ़ासिद हो गई और अगर बिला क़स्द फिर गया और बक़द्र तीनं तस्बीह के वक़्फ़ा न हुआ तो हो गई। (मुनिया, पेज 101 बहर जि. 1–298)

मसअला :– अगर सिर्फ़ क़िब्ले से फेरा उस पर वाजिब है कि फ़ौरन क़िब्ले की तरफ़ मुँह करे और नमाज़ न जायेगी मगर बिला उ़ज़्र मकरूह है। (मुनिया 101,बहर जि. 1 पेज 258)

चौथी शर्त वक़्त है

इसके मसाइल ऊपर मुस्तक़िल बाब नमाज़ के वक़्तों के बयान में बयान हुए

पाँचवीं शर्त नियत है

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है।

وَ مَا اُمِرُوْۤا اِلَّا لِیَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ

तर्जमा :–" उन्हें तो यही हुक्म हुआ कि अल्लाह ही की इबादत करें उसी के लिये दीन को ख़ालिस़ रखते हुए"। हुज़ूर अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं :–

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ وَ لِکُلِّ امْرِئٍ مَّانَوٰی

तर्जमा :– " आमाल का मदार नियत पर है और हर शख़्स के लिए वह है जो उसने नियत की ।

इस ह़दीस को बुख़ारी व मुस्लिम और दीगर मुहद्दिसीन ने अमीरुल मोमिनीन उ़मर इब्ने ख़त्ताब रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत किया।

मसअला :– नियत दिल के पक्के इरादे को क़हते हैं महज़ (सिर्फ़) जानना नियत नहीं जब तक कि इरादा न हो। (तनवीरुल अबसार जि.1पेज 207)

मसअला :– नियत में ज़बान का एअ़तिबार नहीं यानी अगर दिल में मसलन ज़ोहर का इरादा किया और ज़ुबान से लफ़्ज़े अ़स्र निकला ज़ोहर की नमाज़ हो गई। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 278 रद्दुल मुहतार)

मसअला :– नियत का अदना (सबसे कम)दर्जा यह है कि अगर उस वक़्त कोई पूछे कौन सी नमाज़ पढ़ता है तो फ़ौरन बिला देर किए बता दे अगर हालत ऐसी है कि सोचकर बतायेगा तो नमाज़ न होगी। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 278)

मसअला :– ज़ुबान से कह लेना मुस्तहब है और इसमें कुछ अ़रबी की तख़सीस़ नहीं फ़ारसी वग़ैरा में भी हो सकती है और तलफ़्फ़ुज़ में माज़ी का सीग़ा (ऐसा लफ़्ज़ जिस से गुज़रे हुए वक़्त में काम

का होना ज़ाहिर हो) हो मसलन नवैतु या नियत की मैंने। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 278)

मसअला :— बेहतर यह है कि अल्लाहु अकबर कहते वक़्त नियत हाज़िर हो। (मुनिया)

मसअला :— तकबीर से पहले नियत की और शुरू नमाज़ और नियत के दरमियान कोई अम्रे अजनबी मसलन खाना, पीना, कलाम वग़ैरा वह काम जो नमाज़ से ग़ैर मुतअल्लिक़ हैं फ़ासिल(जुदा करने वाले) न हों नमाज़ हो जायगी अगर्चे तहरीमा के वक़्त नियत हाज़िर न हो। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :— वुज़ू से पहले नियत की तो वुज़ू करना फ़ासिले अजनबी नहीं नमाज़ हो जायेगी यानी ऐसा करने से नमाज़ में फ़र्क़ न आयेगा ,यूँही वुज़ू के बाद नियत की उसके बाद नमाज़ के लिये चलना पाया गया नमाज़ हो जायेगी और यह चलना फ़ासिले अजनबी नहीं। (मुनिया)

मसअला :— सही यह कि नफ़्ल व सुन्नत व तरावीह में मुतलक़न नमाज़ की नियत काफ़ी है मगर एहतियात यह है कि तरावीह में तरावीह या सुन्नते वक़्त या क़ियामुल्लैल की नियत करे और बाक़ी सुन्नतों में सुन्नत या नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुताबअत (पैरवी)की नियत करे इसलिए कि बाज़ मशाइख़ सुन्नतों में मुतलक़न नियत को नाकाफ़ी क़रार देते हैं। (मुनिया पेज 106)

मसअला :— अगर शुरू के बाद नियत पाई गई उसका एअ्तिबार नहीं यहाँ तक कि अगर तकबीरे तहरीमा में अल्लाहु कहने के बाद अकबर से पहले नियत की नमाज़ न होगी।(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार जि 1 पेज 279)

मसअला :— नफ़्ल नमाज़ के लिए मुतलक़ नमाज़ की नियत काफ़ी है। अगर्चे नफ़्ल नियत में न हो।
(दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 279)

मसअला :— फ़र्ज़ नमाज़ में नियते फ़र्ज़ भी ज़रूर है मुतलक़न नमाज़ या नफ़्ल वग़ैरा की नियत काफ़ी नहीं। अगर फ़र्ज़ियत जानता ही न हो मसलन पाँचों वक़्त नमाज़ पढ़ता है मगर उनकी फ़र्ज़ियत इल्म में नहीं नमाज़ न होगी और उस पर उन तमाम नमाज़ों की क़ज़ा फ़र्ज़ है मगर जब इमाम के पीछे हो और यह नियत करे कि इमाम जो नमाज़ पढ़ाता है वही मैं भी पढ़ता हूँ तो यह नमाज़ हो जायेगी अगर जानता हो मगर फ़र्ज़ को ग़ैरे फ़र्ज़ से अलग न किया तो दो सूरतें हैं अगर सब में फ़र्ज़ की ही नियत करता है तो नमाज़ हो जायेगी मगर जिन फ़र्ज़ों से पेश्तर (पहले)सुन्नतें हैं अगर सुन्नतें पढ़ चुका है तो इमामत नहीं कर सकता कि सुन्नतें ब–नियते फ़र्ज़ पढ़ने से इसका फ़र्ज़ साक़ित हो चुका मसलन ज़ोहर के पेश्तर चार रकअ़त सुन्नतें ब नियते फ़र्ज़ पढ़े तो अब फ़र्ज़ नमाज़ में इमामत नहीं कर सकता कि यह फ़र्ज़ पढ़ चुका दूसरी सूरत यह कि नियते फ़र्ज़ किसी में न की तो नमाज़ फ़र्ज़ अदा न हुई । (दुर्रे मुख़्तार, जि. 1–280 रद्दुल मुहतार)

मसअला :— फ़र्ज़ में यह भी ज़रूर है कि उस ख़ास नमाज़ मसलन ज़ोहर या अस्र की नियत करे या मसलन आज के ज़ोहर या फ़र्ज़ वक़्त की नियत वक़्त में करे मगर जुमे में फ़र्ज़ वक़्त की नियत काफ़ी नहीं ख़ुसूसियते जुमा की नियत ज़रूरी है। (तनवीरुल अबसार)

मसअला :— अगर वक़्ते नमाज़ ख़त्म हो चुका और उसने फ़र्ज़ वक़्त की नियत की तो फ़र्ज़ न हुए ख़्वाह वक़्त का जाता रहना उसके इल्म में हो या नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :— नमाज़े फ़र्ज़ में यह नियत कि आज के फ़र्ज़ पढ़ता हूँ काफ़ी नहीं जबकि किसी

नमाज़ के मुअय्यन (ख़ास) न किया मसलन आज की ज़ोहर या इशा। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– औला यह है कि यह नियत करे आज की फ़लाँ नमाज़ कि अगर्चे वक़्त ख़ारिज़ हो गया हो नमाज़ हो जायेगी ख़ुसूसन उस के लिए जिसे वक़्त ख़ारिज होने में शक हो।

(दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 283 आलमगीरी जि. 1 पेज 61)

मसअ्ला :– अगर किसी ने उस दिन को दूसरा दिन गुमान कर लिया मसलन वह दिन पीर का और उसने मंगल समझ कर मंगल की ज़ोहर की नियत की बाद को मालूम हुआ कि पीर था नमाज़ हो जायेगी (गुनिया)यानी जबकि आज का दिन नियत में हो कि इस तअ़य्युन के बाद पीर या मंगल की तख़सीस बेकार है और उसमें ग़लती मुज़िर नहीं। हाँ अगर सिर्फ़ दिन के नाम ही से नियत की और आज के दिन का इरादा न किया मसलन मंगल की ज़ोहर पढ़ता हूँ तो नमाज़ न होगी अगर्चे वह दिन मंगल ही का हो कि मंगल बहुत हैं। (इफ़ादाते रज़विया)

मसअ्ला :– नियत में रकअ़त की तादाद की ज़रूरत नहीं अलबत्ता अफ़ज़ल है तो अगर तादादे रकअ़त में ख़ता वाकेअ़ हुई मसलन तीन रकअ़ते मग़रिब की नियत की तो नमाज़ हो जायेगी।

(दुर्रे मुख़्तार, जि. 1 पेज 251 रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला : – फ़र्ज़ क़ज़ा हो गये हों तो उन में दिन का तअ़य्युन (ख़ास) करना और नमाज़ का तअ़य्युन करना ज़रूरी है मसअ्ला फ़लाँ दिन की फ़लाँ नमाज़ मुतलक़न ज़ुहर वग़ैरा या मुतलक़न नमाज़े क़ज़ा नियत में होना काफ़ी नहीं। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1–281)

मसअ्ला :– अगर उसके ज़िम्मे एक ही नमाज़ क़ज़ा हो तो दिन मुअ़य्यन करने की हाजत नहीं मसलन मेरे ज़िम्में जो फ़ुलाँ नमाज़ है काफ़ी है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर किसी के ज़िम्मे बहुत सी नमाज़े हैं और दिन तारीख़ भी याद न हो तो उसके लिए आसान तरीक़ा नियत का यह है कि सब में पहली या सब में पिछली फ़ुलाँ नमाज़ जो मेरे ज़िम्मे है (दुर्रे मुख़्तार जि 1 पेज 281)

मसअ्ला :– किसी के ज़िम्मे इतवार की नमाज़ थी मगर उसको गुमान हुआ कि हफ़्ते की है और उसकी नियत से नमाज़ पढ़ी बाद को मालूम हुआ कि इतवार की थी अदा न हुई। (ग़ुनिया पेज 251)

मसअ्ला :– क़ज़ा या अदा की नियत की कुछ हाजत नहीं अगर क़ज़ा ब–नियते अदा पढ़ी या अदा ब–नियते क़ज़ा तो नमाज़ हो गई यानी मसलन वक़्ते ज़ोहर बाक़ी है और उसने गुमान किया कि वक़्त जाता रहा और उस दिन की नमाज़े ज़ुहर ब–नियते क़ज़ा पढ़ी या वक़्त जाता रहा और उसने गुमान किया कि बाक़ी है और यह ब–नियते अदा पढ़ी हो गई और यूँ न किया बल्कि वक़्त बाक़ी है और उसने ज़ुहर की क़ज़ा पढ़ी मगर उस दिन के ज़ुहर की नियत न की तो न हुई यूँही उसके ज़िम्मे किसी दिन की नमाज़े ज़ोहर थी और ब–नियते अदा पढ़ी न हुई।

(दुर्रे मुख़्तार, जि.1 रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 283)

मसअ्ला :– मुक़तदी को इक़्तिदा की नियत भी ज़रूरी है और इमाम को नियते इमामत मुक़तदी की नमाज़ सही होने के लिये ज़रूरी नहीं यहाँ तक कि अगर इमाम ने यह इरादा कर लिया कि मैं

फुलाँ का इमाम नहीं हूँ और उसने उसकी इक़्तिदा की नमाज़ हो गई मगर इमाम ने इमामत की नियत न की तो सवाबे जमाअ़त न पाएगा और सवाबे जमाअ़त हासिल होने के लिए मुक़तदी की शिरकत से पेश्तर नियत कर लेना ज़रूरी नहीं बल्कि वक़्ते शिरकत भी नियत कर सकता है।

(आलमगीरी, जि. 1 पेज 62 दुर्रेमुख़्तार जि. 1–282)

मसअ्ला :– एक सूरत में इमाम को नियते इमामत बिल इत्तेफ़ाक़ ज़रूरी है कि मुक़तदी औ़रत हो और वह किसी मर्द के मुहाज़ी (बराबर)खड़ी हो जाये और वह नमाज़े जनाज़ा न हो तो इस सूरत में अगर इमाम ने औ़रतों की इमामत की नियत न की तो उस औ़रत की नमाज़ न हुई(दुर्रे मुख़्तार जि. 1पेज 285)और इमाम की यह नियत शुरू नमाज़ के वक़्त ज़रूरी है बाद को अगर नियत कर भी ले सेहते इक़्तिदाए ज़न (औ़रत की इक़्तिाद के सही होने) के लिये काफ़ी नहीं (रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 285)

मसअ्ला :– जनाज़े में तो मुतलक़न ख़्वाह मर्द के मुहाज़ी हो या न हो औ़रतों की इमामत की नियत बिलइत्तिफ़ाक़ ज़रूरी नहीं और ज़्यादा सही यह है कि जुमा व ईदैन में भी हाजत नहीं बाक़ी नमाज़ों में अगर मुहाज़ी मर्द के न हुई तो औ़रत की नमाज़ हो जायेगी अगर्चे इमाम ने औ़रतों की इमामत की नियत न की हो। (दुर्रे मुख़्तार जि.1पेज 285)

मसअ्ला :– मुक़तदी ने अगर सिर्फ़ नमाज़े इमाम या फ़र्ज़ इमाम की नियत की और इक़्तिदा का इरादा न किया नमाज़ न हुई। (आलमगीरी जि. 1 पेज 62)

मसअ्ला :– मुक़तदी ने इक़्तिदा की नियत से यह नियत की कि जो नमाज़ इमाम की वही नमाज़ मेरी तो जाइज़ है। (आलमगीरी जि. 1 पेज 62)

मसअ्ला :– मुक़तदी ने यह नियत की कि वह नमाज़ शुरू करता हूँ जो इस इमाम की नमाज़ है अगर इमाम नमाज़ शुरू कर चुका है जब तो ज़ाहिर कि उस नियत से इक़्तिदा सही है और अगर इमाम ने अब तक नमाज़ शुरू न की तो दो सूरते हैं अगर मुक़तदी के इल्म में हो कि इमाम ने अभी नमाज़ शुरू न की तो शुरू करने के बाद वही पहली नियत काफ़ी है और अगर उसके गुमान में है कि शुरू कर ली और वाक़ई में शुरू न की हो तो वह नियत काफ़ी नहीं। (आलमगीरी जि. 1 पेज 62)

मसअ्ला :– मुक़्तदी ने नियते इक़्तिदा की मगर फ़र्ज़ों में फ़र्ज़ मुतअ़य्यन न किया तो फ़र्ज़ अदा न हुआ (गुनिया) यानी जब तक यह नियत न हो कि नमाज़े इमाम में उस का मुक़तदी होता हूँ।

मसअ्ला :– जुमे में ब–नियते इक़्तिदा नमाज़े इमाम की नियत की ज़ुहर या जुमे की नियत न की नामज़ हो गई ख़्वाह इमाम ने जुमा पढ़ा हो या ज़ोहर और अगर ब–नियते इक़्तिदा ज़ुहर की नियत की और इमाम की नमाज़े जुमा थी तो न जुमा हुआ न ज़ुहर। (आलमगीरी जि. 1 पेज 62)

मसअ्ला :– मुक़तदी ने इमाम को क़ादा में पाया और यह मालूम न हो कि क़अ्दा ऊला है या आख़िरा और इस नियत से इक़्तिदा की कि अगर यह क़अ्दा ऊला है तो मैंने इक़्तिदा की वर्ना नहीं तो अगर्चे क़ादा ऊला हो इक़्तिदा सही न हुई और अगर इस नियत से इक़्तिदा की कि क़अ्दा ऊला है तो मैंने फ़र्ज़ में इक़्तिदा की वर्ना नफ़्ल तो इस इक़्तिदा से फ़र्ज़ अदा न होगा अगर्चे क़अ्दा ऊला हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– यूँही अगर इमाम को नमाज़ में पाया और यह नहीं मालूम की इशा पढ़ता है या तरावीह और यूँ इक़्तिदा की कि अगर फ़र्ज़ है तो इक़्तिदा की,तरावीह है तो नहीं तो इशा हो ख़्वाह तरावीह इक़्तिदा सही न हुई। (आलमगीरी जि. 1 पेज 63) उसको यह चाहिये कि फ़र्ज़ की नियत करे कि अगर फ़र्ज़ जमाअ़त थी तो फ़ज़ वर्ना नफ़्ल हो जायेंगे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :– इमाम जिस वक़्त जाए इमामत (इमामत की जगह)पर गया उस वक़्त मुक़तदी ने नियते इक़्तिदा कर ली अगर्चे ब–वक़्ते तकबीर नियत हाज़िर न हो इक़्तिदा सही है बशर्ते कि इस दरमियान में कोई अ़मल मुनाफ़िये नमाज़ (यानी जिस से नमाज़ जाती रहे) न पाया गया हो(गुनिया पेज450)

मसअ्ला :– नियते इक़्तिदा में यह इल्म ज़रूर नहीं कि इमाम कौन है ज़ैद है या अ़म्र और अगर यह नियत की कि इस इमाम के पीछे और इसके इल्म में वह ज़ैद है बाद को मालूम हुआ कि अ़म्र है इक़्तिाद सही है और अगर इस शख़्स की नियत न की बल्कि यह कि ज़ैद की इक़्तिदा करता हूँ बाद को मालूम हुआ कि अ़म्र है तो नियत सही नहीं। (आलमगीरी, जि. 1 पेज 62 गुनिया जि. पेज 450)

मसअ्ला :– जमाअ़ते कसीर हो तो मुक़तदी को चाहिए कि नियते इक़्तिदा में इमाम का तअ़य्युन न करे यूँही जनाज़े में यह नियत न करे कि फुलाँ मय्यत की नमाज़। (आलमगीरी जि. 1 पेज 63)

मसअ्ला :– नमाज़े जनाज़े की यह नियत है नमाज़ अल्लाह के लिए और दुआ इस मय्यत के लिए (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 स 283)

मसअ्ला :– मुक़तदी को शुबह हो कि मय्यत मर्द है या औ़रत तो यह कह ले कि इमाम के साथ नमाज़ पढ़ता हूँ जिस पर इमाम नमाज़ पढ़ता है। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 284)

मसअ्ला :– अगर मर्द की नियत की बाद को औ़रत होना मालूम हुआ या बिलअ़क्स (यानी इसका उल्टा) जाइज़ न हुई बशर्ते कि मौजूदा जनाज़ा की तरफ़ इशारा न हो यूँही अगर ज़ैद की नियत की बाद को उसका अ़म्र होना मालूम हुआ सही नहीं और अगर यूँ नियत की कि इस जनाज़े की और इस के इल्म में वह ज़ैद है बाद को मालूम हुआ कि अ़म्र है तो हो गई। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार जि. 1स. 284) यूँही अगर इसके इल्म में वह मर्द है बाद को औ़रत होना मालूम हुआ या बिलअ़क्स तो जाइज़ हो जायेगी जबकि इस मय्यत पर नमाज़ नियत में है। (रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 284)

मसअ्ला :– चन्द जनाज़े एक साथ पढ़े तो उनकी तादाद मालूम होना ज़रूरी नहीं और अगर उसने तादाद मुअ़य्यन कर ली और उससे ज़ाइद थे तो किसी जनाज़े की न हुई (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 284) यानी जबकि नियत में इशारा न हो सिर्फ़ इतना हो कि दस मय्यतों की नमाज़ और वह थे ग्यारह तो किसी पर न हुई और अगर नियत में इशारा था मसलन इन दस मय्यतों पर नमाज़ और वह हों बीस तो सब की हो गई यह अहकाम इमामे नमाज़े जनाज़ा के हैं और मुक़तदी के भी अगर उसने यह नियत न की हो कि जिन पर इमाम पढ़ता है उन के जनाज़े की नमाज़ कि इस सूरत में अगर उसने उन को दस समझा और वह हैं ज़्यादा तो इसकी नमाज़ भी सब पर हो जायेगी। (रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 284)

मसअ्ला :– नमाज़े वाजिब में वाजिब की नियत करे और उसे मुअ़य्यन भी करे मसलन नमाज़े ईदुल फ़ित्र, ईदे अज़हा, नज़र, नमाज़ बादे तवाफ़ या नफ़्ल जिस को क़स्दन फ़ासिद किया हो कि उस

की क़ज़ा भी वाजिब हो जाती है यूँही सजदए तिलावत में नियत का तअय्युन ज़रूरी है मगर जबकि नमाज़ में फ़ौरन किया जाये और सजदए शुक्र अगर्चे नफ़्ल है मगर इसमें भी नियत का तअय्युन ज़रूरी है यानी यह नियत कि शुक्र का सजदा करता हूँ और सजदए सहव को "दुर्रे मुख़्तार" में लिखा कि इसमें नियत का तअय्युन ज़रूरी नहीं मगर "नहरूल फ़ाइक़" में ज़रूरी समझी और यही ज़ाहिर तर है यानी ज़्यादा सही मालूम होता है (रद्दुल मुहतार जि. 1 पेज 281)और नज़्रें बहुत सी हों तो उनमें भी हर एक की अलग तअय्युन ज़रूरी है और वित्र में फ़क़त वित्र की नियत काफ़ी है अगर्चे उसके साथ नियते वुजूब न हो हाँ नियते वाजिब औला है। अलबत्ता अगर नियते अ़दमे वुजूब(वाजिब न मानकर)है तो काफ़ी (दुर्रे मुख़्तार, जि. 1 पेज 285 रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– यह नियत कि मुँह मेरा क़िब्ले की तरफ़ है शर्त नहीं हाँ यह ज़रूरी है कि क़िब्ला से एराज़ (फिरने) की नियत न हो। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार जि.1 पेज 285)

मसअ्ला :– नमाज़ ब–नियते फ़र्ज़ शुरू की फिर दरमियाने नमाज़ में यह गुमान किया कि नफ़्ल है और ब–नियते नफ़्ल नमाज़ पूरी की तो फ़र्ज़ अदा हुए और अगर ब–नियते नफ़्ल शुरू की और दरमियान में फ़र्ज़ का गुमान किया और उसी गुमान के साथ पूरी की तो नफ़्ल हुई(आलमगीरी जि.1पेज 62)

मसअ्ला :– एक नमाज़ शुरू करने के बाद दूसरी की नियत की तो अगर तकबीरे जदीद (यानी एक दूसरी तकबीर) के साथ है तो पहली जाती रही और दूसरी शुरू हो गई वर्ना वही पहली है ख़्वाह दोनों फ़र्ज़ हों या पहली फ़र्ज़ दूसरी नफ़्ल या पहली नफ़्ल दूसरी फ़र्ज़ (आलमगीरी, जि.1 पेज 62गुनिया पेज 247) यह उस वक़्त में है कि दोबारा नियत ज़ुबान से न करे वर्ना पहली बहरहाल जाती रही। (हिन्दिया जि. 1 पेज 62)

मसअ्ला :– ज़ुहर की एक रकअ्त के बाद फिर ब–नियत उसी ज़ुहर की तकबीर कही तो यह वही नमाज़ है और पहली रकअ्त भी शुमार होगी लिहाज़ा अगर क़अ्दा अख़ीरा किया तो हो गई वर्ना नहीं हाँ अगर ज़ुबान से भी नियत का लफ़्ज़ कहा तो पहली नमाज़ जाती रही और वह रकअ्त शुमार नहीं। (आलमगीरी जि.1 पेज 62,गुनिया जि. 248)

मसअ्ला :– अगर दिल में नमाज़ तोड़ने की नियत की मगर ज़ुबान से कुछ न कहा तो वह बदस्तूर नमाज़ में है जब तक कोई नमाज़ को तोड़ने वाली बात न करे। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 पेज 296)

मसअ्ला :– दो नमाज़ों की एक साथ नियत की इसमें चन्द सूरतें हैं 1.उनमें एक फ़र्ज़े ऐन है, दूसरी जनाज़ा तो फ़र्ज़ की नियत हुई। 2. और दोनों फ़र्ज़े ऐन हैं तो एक अगर वक़्ती है और दूसरी का वक़्त नहीं आया तो वक़्ती हुई। 3–और एक वक़्ती है दूसरी क़ज़ा और वक़्त में वुसअ्त नहीं जब भी वक़्ती हुई। 4–और वक़्त में वुसअ्त है तो कोई न हुई । 5– और दोनों क़ज़ा हों तो साहिबे तरतीब के लिये पहली हुई। 6–और साहिबे तरतीब नहीं तो दोनों बातिल। 7–और एक फ़र्ज़ दूसरी नफ़्ल तो फ़र्ज़ हुए। 8–और दोनों नफ़्ल हैं तो दोनों हुईं। 9–और एक नफ़्ल दूसरी नमाज़े जनाज़ा तो नफ़्ल की नियत रही। (दुर्रे मुख़्तार जि.1 पेज 296 ,रद्दुल मुहतार, गुनिया पेज 247)

मसअ्ला :– नमाज़ ख़ालिसन लिल्लाह (यानी ख़ास अल्लाह के लिए) शुरू की फिर मआज़ल्लाह

रिया की मिलावट हो गई तो शुरू का एअ्तिबार किया जायेगा।(दुर्रे मुख्तार, जि 1 स 294 आलमगीरी जि 1 पेज 63)

मसअ्ला :– पूरा रिया यह है कि लोगों के सामने है इस वजह से पढ़ ली वर्ना पढ़ता ही नहीं और अगर यह सूरत है कि तन्हाई में पढ़ता मगर अच्छी न पढ़ता और लोगों के सामने खूबी के साथ पढ़ता है तो उसको अस्ल नमाज़ का सवाब मिलेगा और उस खूबी का सवाब नहीं। और यहाँ रिया पाई गई अज़ाब बहरहाल है। (दुर्रे मुख्तार जि.1 पेज 294 आलमगीरी जि. 1 पेज 163)

मसअला :– नमाज़ खुलूस के साथ पढ़ रहा था लोगों को देखकर यह ख़्याल हुआ कि रिया की मुदाखलत हो जायेगी या शुरू करना चाहता था कि रिया की मुदाख़लत का अन्देशा हुआ तो इस की वजह से तर्क न करे नमाज़ पढ़े और इस्तिग़फ़ार करे। (दुर्रे मुख्तार रद्दुल मुहतार जि.1 पेज 294)

छठी शर्त तकबीरे तहरीमा है

अल्लाह तआला फ़रमाता है ।

وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى

तर्जमा :– "अपने रब का नाम लेकर नमाज़ पढ़ी"।

और अहादीस इस बारे में बहुत हैं कि हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 'अल्लाहु अकबर' से नमाज़ शुरू फ़रमाते।

मसअ्ला :– नमाज़े जनाज़ा में तकबीरे तहरीमा रुक्न है बाक़ी नमाज़ों में शर्त।(दुर्रे मुख़्तार जि.1 297)

मसअ्ला :– ग़ैर जनाज़ा में अगर कोई नजासत लिये हुए तहरीमा बाँधे और 'अल्लाहु अकबर' ख़त्म करने से पेश्तर फेंक दे नमाज़ शुरू हो जायेगी यूँही तहरीमा के शुरू में सत्र खुला हुआ था या क़िब्ले से मुनहरिफ़ था या आफ़ताब ख़त्ते निस्फ़ुन्नहार पर था और तकबीर से फ़ारिग़ होने से पहले अमले क़लील के साथ सत्र छुपा लिया या क़िब्ला को मुँह कर लिया या निस्फ़ुन्नहार से आफ़ताब ढल गया नमाज़ शुरू हो जायेगी। यूँही मआज़ल्लाह बे–वुज़ू शख़्स दरिया में गिर पड़ा और आज़ाए वुज़ू पर पानी पहुँचने से पेश्तर तकबीरे तहरीमा शुरू की मगर ख़त्म से पहले आज़ा धुल गये नमाज़ शुरू हो गई। (रद्दुल मुहतार जि 1 पेज 297)

मसअ्ला– फ़र्ज़ की तहरीमा पर नफ़्ल नमाज़ की 'बिना' कर सकता है मसलन इशा की चारों रकअ्तें पूरी करके बे–सलाम फेरे सुन्नतों के लिये खड़ा हो गया लेकिन क़स्दन ऐसा करना मकरूह व मना है और क़स्दन न हो तो हरज नहीं मसलन ज़ुहर की चार रकअ्त पढ़कर क़अ्दा अख़ीरा कर चुका था अब ख़्याल हुआ कि दो ही पढ़ीं उठ खड़ा हुआ और पाँचवीं रकअ्त का सजदा भी कर लिया अब मालूम हुआ कि चार हो चुकी थीं तो यह रकअ्त नफ़्ल हुई अब एक और पढ़ ले कि दो रकअतें हो जायेंगी तो यह 'बिना' जानबूझ कर न हुई। लिहाज़ा इसमें कोई कराहत नहीं। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– एक नफ़्ल पर दूसरी नफ़्ल की बिना कर सकता है और एक फ़र्ज़ को दूसरी फ़र्ज़ या नफ़्ल पर बिना नहीं कर सकता। (दुर्रे मुख़्तार जि 1 पेज 279)

नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा

हदीस न1. :– बुख़ारी व मुस्लिम अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि एक शख़्स मस्जिद में हाज़िर हुये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद की एक जानिब में तशरीफ़ फ़रमा थे। उन्होंने नमाज़ पढ़ी फिर ख़िदमते अक़दस में हाज़िर होकर सलाम अर्ज़ किया। फ़रमाया वअलैकस्सलाम,जाओ नमाज़ पढ़ो कि तुम्हारी नमाज़ न हुई। वह गये और नमाज़ पढ़ी फिर हाज़िर हो कर सलाम अर्ज़ किया फरमाया व अलैकस्सलाम जाओ नमाज़ पढ़ो कि तुम्हारी नमाज़ न हुई। तीसरी बार या उसके बाद अर्ज़ किया या रसूलल्लाह। मुझे तअ्लीम फ़रमाईये। इरशाद फ़रमाया जब नमाज़ को खड़े होना चाहो तो कामिल वुज़ू करो फिर क़िब्ले की तरफ़ मुँह कर के अल्लाहु अकबर कहो फिर क़ुर्आन पढ़ो जितना मयस्सर आये फिर रूकुअ् करो यहाँ तक कि रूकूअ् में तुम्हें इत्मिनान हो फिर उठो यहाँ तक कि सीधे खड़े हो जाओ फिर सजदा करो यहाँ तक कि सजदे में इत्मिनान हो जाये फिर उठो यहाँ तक कि बैठने में इत्मिनान हो फिर सजदा करो यहाँ तक कि सजदे में इत्मिनान हो जाये फिर उठो और सीधे खड़े हो जाओ फिर इसी तरह पूरी नमाज़ में करो।

हदीस न2. :– सही मुस्लिम शरीफ़ में उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्ललाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर से नमाज़ शुरू करते और اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۝ से किरात और जब रूकूअ् करते सर को न उठाये होते न झुकाये बल्कि दरमियानी हालत में रखते और जब रूकूअ् से सर उठाते सजदे को न जाते जब तक कि सीधे न खड़े हो लें और सजदे से उठकर सजदा न करते जब तक कि सीधे न बैठ लें और हर दो रकअ्त पर अत्तहिय्यात पढ़ते और बायाँ पाँव बिछाते और दाहिना खड़ा रखते और शैतान की तरह बैठने से मना फ़रमाते और दरिन्दों की तरह कलाईयाँ बिछाने से मना फ़रमाते (यानी सजदे में मर्दों को) और सलाम के साथ नमाज़ ख़त्म करते।

हदीस न3. :– सही बुख़ारी शरीफ़ में सुहैल इब्ने सअ्द रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि लोगों को हुक्म किया जाता कि नमाज़ में मर्द दाहिना हाथ बायीं कलाई पर रखे।

हदीस न4. :– इमाम अहमद अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर ने हम को नमाज़ पढ़ाई और पिछली सफ़ में एक शख़्स था जिसने नमाज़ में कुछ कमी की। जब सलाम फेरा तो उसे पुकारा फ़लाँ! तू अल्लाह से नहीं डरता क्या तू नहीं देखता कि कैसे नमाज़ पढ़ता है। तुम यह गुमान करते होगे कि जो तुम करते हो उसमें से कुछ मुझ पर पोशीदा (छुपा हुआ)रह जाता होगा। ख़ुदा की क़सम मैं पीछे से वैसा ही देख़ता हूँ जैसा सामने से।

हदीस न.5 व 6 :– अबू दाऊद ने रिवायत की कि उबई इब्ने कअ्ब रदियल्लाहु तआला अन्हु ने दो मक़ाम पर रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सकता फ़रमाना यानी ठहरना याद किया। एक उस वक़्त जब तकबीरे तहरीमा कहते दूसरा غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۝ जब पढ़ कर फ़ारिग़ होते उबई इब्ने कअ्ब रदियल्लाहु तआला अन्हु ने इसकी तस्दीक़ की यानी इसको सच बताया। तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व दारमी ने भी इसके मिस्ल रिवायत की इस हदीस से

'आमीन'का आहिस्ता कहना साबित होता है।

हदीस न.7 :– इमाम बुख़ारी अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुजूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं कि जब इमाम غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ० कहे तो आमीन कहो कि जिसका क़ौल मलाइका के क़ौल के मुवाफ़िक़ हो उस के अगले गुनाह बख़्श दिये जायेंगे।

हदीस न.8 :– सही मुस्लिम में अबू मूसा अशअ़री रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि इरशाद फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तुम नमाज़ पढ़ो तो सफ़ें सीधी कर लो फिर तुम में से जो कोई इमामत करे वह जब तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो और जब غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ० कहे तो तुम आमीन कहो। अल्लाह तआला तुम्हारी दुआ क़बूल फ़रमायेगा और जब रूकूअ़ करो कि इमाम तुम से पहले रूकू करेगा और तुम से पहले उठेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तो यह उसका बदला हो गया और जब वह "समिअ़ल्लाहु लिमन हमिदह्" कहे तुम "अल्लाहुम्मा व लकल हम्द" कहो अल्लाह तुम्हारी सुनेगा।

हदीस न.9,10 :– अबू हुरैरा व क़तादा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से इसी सही मुस्लिम में है जब इमाम क़िरात करे तो तुम चुप रहो।

इस हदीस और इसके जो पहले हदीस है दोनों से साबित होता है कि आमीन आहिस्ता कही जाये कि अगर ज़ोर से कहना हो तो इमाम के आमीन कहने का पता और मौक़ा बताने की क्या हाजत होती कि जब वह غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ० कहे तो आमीन कहो और इस से बहुत सरीह (साफ़)तिर्मिज़ी की रिवायात शोअ़बा से है वह अलक़मा से वह अबी वाइल से रिवायत करते हैं 'आमीन कहो और उस में आवाज़ पस्त (धीमी) कि नीज़ अबू हुरैरा व क़तादा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा की रिवायत से यह भी साबित होता है कि इमाम के पीछे मुक़तदी क़िरअ़त न करे बल्कि चुप रहे और यही क़ुर्आन अज़ीम का भी इरशाद है कि :–

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَ اَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (پ ٩ ع ١٠)

तर्जमा : "जब क़ुर्आन पढ़ा जाये तो सुनो और चुप रहो इस उम्मीद पर कि रहम किए जाओ"।

हदीस न. 11 व 12 :– अबू दाऊद व नसई इब्ने माजा अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इमाम तो इस लिये बनाया गया है कि उसकी इक्तिदा की जाये जब तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो और जब वह क़िरअ़त करे तुम चुप रहो।

हदीस न. 13 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी अलक़मा से रावी कि अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं क्या तुम्हें वह नमाज़ पढ़ाऊँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नमाज़ थी। फिर नमाज़ पढ़ी और हाथ न उठाये मगर पहली बार यानी तकबीरे तहरीमा के वक़्त और एक रिवायत में यूँ है कि। पहली मर्तबा उठाते फिर नहीं। तिर्मिज़ी ने कहा यह हदीस हसन है।

हदीस न.14 :– दार क़ुतनी व इब्ने अदी की रिवायत उन्हीं से है कि अ़ब्दुल्ला इब्ने मसऊद

रदियल्लाहु तआला फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और अबूबक्र व उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा के साथ नमाज़ पढ़ी तो इन हज़रात ने हाथ न उठाये मगर नमाज़ शुरू करते वक्त।

हदीस न.15 :– मुस्लिम व अहमद जाबिर इब्ने समुरह रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यह क्या बात है कि तुम्हें हाथ उठाते देखता हूँ जैसे चंचल घोड़े की दुमें, नमाज़ में सुकून के साथ रहो।

हदीस न.16 :– अबू दाऊद व इमाम अहमद ने अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि सुन्नत से है कि नमाज़ में हाथ पर हाथ नाफ़ के नीचे रखे जायें।

इन अहकाम के मुतअल्लिक़ कसरत के साथ और अहादीस व आसार मौजूद हैं। तबर्रुकन चन्द हदीसें ज़िक्र कीं कि यह मक़सूद नहीं कि अफ़आले नमाज़ अहादीस से साबित किये जायें कि हम न इस के अहल न इस की ज़रूरत कि अइम्मए किराम ने यह मरहले तय फ़रमा दिये हमें तो उनके इरशाद काफ़ी हैं कि वह अरकाने शरीअत हैं वह वही फ़रमाते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशाद से माख़ूज़ है।

नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा :– यह है कि बावुज़ू क़िब्ला–रू दोनों पाँव के पंजो में चार उंगल का फ़ासला करके खड़ा हो और दोनों हाथ कान तक ले जाये कि अँगूठे कान की लौ से छू जायें और उंगलियाँ न मिली हुई रखे न ख़ूब खोले हुये बल्कि अपनी हालत पर हों और हथेलियाँ क़िब्ले को हों। नियत कर के अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ नीचे लाये और नाफ़ के नीचे बाँध ले यूँ कि दाहिनी हथेली की गद्दी बाईं कलाई के सिरे पर हो और बीच की तीन उँगलियाँ बाईं कलाई की पुश्त पर और अँगुठा और छंगुलिया कलाई के अग़ल बग़ल और सना पढ़े यानी :–

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالٰى جَدُّكَ وَ لَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

सुब्हा न कल्लाहुम्मा व बिहम्मद क व तबार कस्मुका व तआला जद्दु का व ला इलाह ग़ैरुका

तर्जमा :– "पाक है तू ऐ अल्लाह और मैं तेरी हम्द करता हूँ तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी अज़मत बलन्द है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं।"

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ (अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैता निर्रजीम)

फिर तस्मीया यानी بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

कहे फिर अल्हम्द पढ़े । अल्हम्द शरीफ़ यह है :–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ

الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्हम्मदु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन 0 अर्रहमानिर्रहीम 0 मालिकि यौमिद्दीन 0 इय्या क नअ्बुदु व इय्या क नस्तईन 0 इहदि नस्सिरातल मुस्तकीम 0सिरातल्लज़ीन अन् अ़मता् अ़लैहिम ग़ैरिल मग़दूबिअ़लैहिम वलद्दाल्लीन 0

तर्जमा : – "सब ख़ूबियाँ अल्लाह को जो मालिक सारे जहान वालों का। बहुत मेरहबान रहम वाला। रोज़े जज़ा का मालिक। हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें। हमको सीधा रास्ता चला। रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया न उनका जिन पर ग़ज़ब हुआ और न बहके हुओं का।"

और ख़त्म पर आमीन आहिस्ता कहे उसके बाद कोई सूरत या तीन आयतें पढ़े या एक आयत कि तीन के बराबर हो अब अल्लाहु अकबर कहता हुआ रूकू में जाये और घुटनों को हाथ से पकड़े इस तरह कि हथेलियाँ घुटने पर हों और उंगलियाँ खूब फैली हों न यूँ कि सब उंगलियाँ एक तरफ़ फ़कत अँगूठा और पीठ बिछी हो और सर पीठ के बराबर हो ऊँचा नीचा न हो और कम से कम तीन बार سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْعَظِیْم(सुब्हान रब्बियल अ़ज़ीम 0)कहे फिर سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ (समिअ़ल्लाहुलिमन हमिदह) कहता हुआ सीधा खड़ा हो जाये और तन्हा हो तो इसके बाद اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ(अल्लाहुम्मा् रब्बना व लकलहम्दु)कहे फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदे में जाये यूँ कि पहले घुटने ज़मीन पर रखे फिर हाथ दोनों हाथों के बीच में सर रखे न यूँ कि सिर्फ़ पेशानी छू जाये और नाक की नोक लग जाये बल्कि पेशानी और नाक की हड्डी जमाये और बाजूओं को करवटों और पेट को रानों और रानों को पिंडलियों से जुदा रखे और दोनों पाँव की सब उंगलियों के पेट क़िब्ला–रू जमे हों और हथेलियाँ बिछी हों और उगंलियाँ क़िब्ले को हों और कम अज़ कम तीन बार سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی(सुब्हा न रब्बियल अअ्ला) कहे फिर सर फिर हाथ उठाये और दाहिना क़दम खड़ा क़र के उसकी उंगलियाँ क़िबला–रूख़ करे और बायाँ क़दम बिछा कर उस पर ख़ूब सीधा बैठ जायें और हथेलियाँ बिछा कर रानों पर घुटनों के पास रखे कि दोनों हाथों की उंगलियाँ क़िब्ले को हों फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदे को जाये और उसी तरह सजदा करे फिर सर उठाये फिर हाथ को घुटने पर रखकर पंजों के बल खड़ा हो जाये अब सिर्फ़ 0 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم पढ़ कर क़िरात शुरू कर दे फिर उसी तरह रूकू और सजदा कर के दाहिना क़दम ख़ड़ा कर के बायाँ क़दम बिछा कर बैठ जाये और यह पढ़े :–

اَلتَّحِیَّاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَوٰتُ وَالطَّیِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ
وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلٰی عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِیْنَ.
اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ

अत्तहिय्यातु लिल्ला हि वस्सला् वातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अ़लैक अय्युहन्नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अ़लैना व अ़ला इबादिल्लाहि–स्सालिहीन अशहदु अल्लाइलाह इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना–मुहम्मदन अ़ब्दुहू व रसूलुहू 0

तर्जमा : " तमाम तहिय्यतें और नमाज़ें और पाकीज़गियाँ अल्लाह के लिए हैं सलाम आप पर ऐ नबी और अल्लाह की रहमत और बरकतें हम पर और अल्लाह के नेक बन्दों पर सलाम। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं और गवाही देता हूँ मुहम्मद सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम उसके बन्दे और रसूल हैं"।

और यह ख़्याल रहे कि इस में कोई हर्फ़ कमो बेश (कम या ज़्यादा)न करे और इसको 'अत्तहीय्यात' कहते हैं और जब कलिमए لا 'ला' के क़रीब पहुँचे दाहिने हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे का हलक़ा बनाये और छुंगलिया और उसके पास वाली को हथेली से मिला दे और लफ़्ज़े 'ला' पर कलिमे की उंगली उठाये मगर उस को हरकत न दे और कलिमए 'इल्लल्लाह'पर गिरा दे और सब उंगलियाँ फ़ौरन सीधी करे अगर दो से ज़्यादा रकअ़तें पढ़नी हैं तो उठ खड़ा हो और इसी तरह पढ़े मगर फ़र्ज़ों की इन रकअ़तों में सूरह फ़ातिहा के साथ सूरत मिलाना ज़रूरी नहीं अब पिछला क़ादा जिस के बाद नमाज़ ख़त्म करेगा उसमें तशह्हुद (अत्तहिय्यात)के बाद दुरूद शरीफ़ पढ़े। दुरूद शरीफ़ यह है :-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ . اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ .

अल्लाहुम्मा सल्लिअ़ला सय्यिदना मुहम्मदिंव व अ़ला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लै त अ़ला सय्यिदिना इब्राहीम व अ़ला आलिसय्यिदिना इब्राहीमा इन्नक हमीदुम मजीद 0अल्ला हुम्मा बारिक अ़ला सय्यिदिना मुहम्मदिंव व अ़ला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा बारकता अ़ला सय्यिदिना इब्राहीम व अ़ला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्न क हमीदुम्मजीद 0

तर्जमा : " ऐ अल्लाह ! दुरूद भेज हमारे सरदार मुहम्मद पर और उनकी आल पर जिस तरह तूने दुरूद भेजी सय्यिदिना इब्राहीम पर और उनकी आल पर बेशक तू सराहा हुआ बुज़ुर्ग है। ऐ अल्लाह! बरकत नाज़िल कर हमारे सरदार मुहम्मद पर और उनकी आल पर जिस तरह तूने बरकत नाज़िल की सय्यिदिना इब्राहीम पर और उनकी आल पर। बेशक तू सराहा हुआ बुज़ुर्ग है।"

और इसके बाद नीचे दी जा रही दुआओं में से कोई दुआ पढ़े

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ.0

अल्लाहुम्म रब्बना आतिना फ़िद्दुन्यिा हसनतंव व फ़िल आख़िरति हसनतंव वक़िना अज़ाबन्नार

तर्जमा : ऐ अल्लाह ! ऐ हमारे परवरदिगार ! तू हमको दुनिया में नेकी दे और आख़िरत में नेकी दे और हमको जहन्नम के अज़ाब से बचा ।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ تَوَالَدَ وَ لِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ اِنَّكَ مُجِيْبُ الدَّعْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

अल्लाहुम्मग़ फ़िर ली वलि वालि दय्य वलिमन तवालदा वलि जमीइल मोमिनी न वल मुअ़मिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमातिल अहया इ मिन्हुम वल अमवाति इन्न का मुजीबुद दअ़वाति बि रहमतिक

या अरहमर्राहिमीन

तर्जमा : " ऐ अल्लाह तू बख़्श दे मुझको और मेरे वालिदैन कों और उसको जो पैदा हो और तमाम मोमिनीन व मोमिनात और मुस्लेमीन व मुस्लेमात को। बेशक तू दुआओं का क़बूल करने वाला है अपनी रहमत से, सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान "

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا كَثِیْرًا وَّ اِنَّهٗ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِیْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِیْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ.

तर्जमा : " ऐ अल्लाह ! मैंने अपनी जान पर बहुत ज़ुल्म किया है और बेशक तेरे सिवा गुनाहों का बख़्शने वाला कोई नहीं है तू अपनी तरफ़ से मेरी मग़फ़िरत फ़रमा और मुझ पर रहम कर। बेशक तू ही बख़्शने वाला मेहरबान है"।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنَ الْخَیْرِ كُلِّهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَ مَالَمْ اَعْلَمْ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَ مَالَمْ اَعْلَمْ.

तर्जमा : " ऐ अल्लाह मैं तुझसे हर क़िस्म के ख़ैर का सवाल करता हूँ जिसको मैं जानता हूँ और जिसको मैं नहीं जानता और हर क़िस्म के शर से तेरी पनाह माँगता हूँ जिस को मैंने जाना और जिसको नहीं जाना।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِیْحِ الدَّجَّالِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْیَا وَ فِتْنَةِ الْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَمِنَ الْمَغْرَمِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّیْنِ وَ قَهْرِ الرِّجَالِ.

तर्जमा : " ऐ अल्लाह तेरी पनाह माँगता हूँ अज़ाबे क़ब्र से और तेरी पनाह माँगता हूँ मसीह दज्जाल के फ़ितने से और तेरी पनाह माँगता हूँ ज़िन्दगी और मौत के फ़ितने से ऐ अल्लाह! तेरी पनाह माँगता हूँ गुनाह और नादान से और तेरी पनाह माँगता हूँ क़र्ज़ के ग़लबे और मर्दों के ग़ज़ब से"। इन दुआओं में से जो भी दुआ पढ़े बग़ैर 'अल्लाहुम्मा' के न पढ़े फिर दाहिने शाने की तरफ़ मुँह कर के اَلسَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ अस्सलामुअ़लैकुम व रहमतुल्लाहि 'कहे फिर बाईं तरफ़।

यह तरीक़ा जो ज़िक्र हुआ इमाम या तन्हा मर्द के पढ़ने का है। मुक़तदी के लिये इस में की बाज़ बातें जाइज़ नहीं मसलन इमाम के पीछे फ़ातिहा या और कोई सूरत पढ़ना औरत भी बाज़ बातों में अलग है मसलन हाथ बाँधने और सजदे की हालत और क़अ़दे की सूरत में फ़र्क़ है जिस को हम बयान करेंगे इन ज़िक्र की हुई चीज़ों में बाज़ चीज़ें फ़र्ज़ हैं कि इस के बग़ैर नमाज़ होगी ही नही बाज़ वाजिब कि जान बूझकर उसका तर्क करना गुनाह और नमाज़ वाजिबुल इआदा यानी लौटाना वाजिब है और भूल कर हो तो सजदए सहव वाजिब। बाज़ सुन्नते मुअक्कदा कि उसके तर्क की आदत गुनाह और बाज़ मुस्तहब कि करे तो सवाब और न करे तो गुनाह नहीं।

नोट :– हमने कुछ अ़रबी इबारतों को हिन्दी में भी लिख दिया है ताकि पढ़कर याद कर सकें मगर हिन्दी में हर लफ़्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ (अच्चारण) मुमकिन नहीं है। इस लिए किसी क़ारी से उसका उच्चारण ठीक करलें।

फ़राइज़े नमाज़

सात चीज़ें नमाज़ में फ़र्ज़ हैं 1. तकबीरे तहरीमा (नमाज़ शुरू करने के लिए जो तकबीर कहते हैं

उसे तकबीरे तहरीमा कहते हैं) 2. क़ियाम (नमाज़ में खड़े होने की हालत को क़ियाम कहते हैं) 3. क़िरात 4. रूकू 5. सजदा 6. क़अ्दा आख़ीरा (नमाज़ में बैठने की हालत को क़ादा कहते हैं। वह दो होते हैं एक क़ादए ऊला दूसरा क़अ्दए अख़ीरा जिस क़अ्दे के बाद सलाम फेरना हो उसे क़ादए अख़ीरा और जिसके बाद सलाम नही फेरना हो उसे क़ादए ऊला कहते हैं 7. ख़ुरूज बिसुनएही (यानी अपने इरादे से नमाज़ ख़त्म करना)

1. तकबीरे तहरीमा :– हक़ीक़तन यह शराइते नमाज़ से है मगर चूँकि अफ़आले नमाज़ से इसको बहुत ज़्यादा नज़दीकी हासिल है (यानी तकबीरे तहरीमा नमाज़ से बहुत क़रीब और बिल्कुल मिली हुई है) इस वजह से फ़राइज़े नमाज़ में इसका शुमार हुआ।

मसअ्ला :– नमाज़ के शराइत यानी तहारत व इस्तिक़बाल व सत्रे औरत व वक़्त तकबीरे तहरीमा के लिये शराइत हैं यानी तकबीर कहने से पहले इन सब शराइत का पाया जाना ज़रूरी है अगर अल्लाहु अकबर कह चुका और कोई शर्त मफ़कूद (कम)है नमाज़ न होगी। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जिन नमाज़ों में क़ियाम फ़र्ज़ है उनमें तकबीरे तहरीमा के लिये क़ियाम फ़र्ज़ है तो अगर बैठकर अल्लाहु अकबर कहा फिर खड़ा हो गया नमाज़ शुरू ही न हुई। (दुर्रे मुख़्तार,आलमगीरी)

मसअ्ला :– इमाम को रूकू में पाया और तकबीरे तहरीमा कहता हुआ रूकू में गया यानी तकबीर उस वक़्त ख़त्म की कि हाथ बढ़ाये तो घुटने तक पहुँच जायें नमाज़ न हुई (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार) नफ़्ल के लिये तकबीरे तहरीमा रूकू में कही नमाज़ न हुई और बैठकर कहता तो हो जाती।(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मुक़तदी ने लफ़्ज़े अल्लाह इमाम के साथ कहा मगर अकबर को इमाम से पहले ख़त्म कर चुका नमाज़ न हुई । (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– इमाम को रूकु में पाया और अल्लाहु अकबर खड़े होकर कहा मगर उस तकबीर से तकबीरे रूकूअ् की नियत की नमाज़ शुरू हो गई और यह नियत बेकार है। (दुर्रे मुख़्तार 1–323)

मसअ्ला :– इमाम से पहले तकबीरे तहरीमा कही अगर इक़तिदा की नियत है नमाज़ में न आया वर्ना शुरू हो गई मगर इमाम की नमाज़ में शिर्कत न हुई बल्कि अपनी अलग। (आलमगीरी1–64)

मसअ्ला :– इमाम की तकबीर का हाल मालूम नहीं कि कब कही तो अगर ग़ालिब गुमान है कि इमाम से पहले कही, न हुई और अगर ग़ालिब गुमान न हो तो एहतियात यह है कि नियत तोड़ दे और फिर से तकबीरे तहरीमा कह कर नियत बाँधे । (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुल मुहतार 1स.323)

मसअ्ला :– जो शख़्स तकबीर के तलफ़्फ़ुज़ पर क़ादिर न हो मसलन गूँगा हो या किसी और वजह से ज़ुबान बन्द हो उस पर तलफ़्फ़ुज़ वाजिब नहीं दिल में इरादा काफ़ी है (दुर्रे मुख़्तार 1–324)

मसअ्ला :– अगर तअज्जुब के तौर पर अल्लाहु अकबर कहा या मोअज़्ज़िन के जवाब में कहा और इसी तकबीर से नमाज़ शुरू कर दी नमाज़ न हुई। (दुर्रे मुख़्तार 1–323)

मसअ्ला :– अल्लाहु अकबर की जगह कोई और लफ़्ज़ जो ख़ालिस ताज़ीमे इलाही के अल्फ़ाज़ हो 'अल्लाहु अजल्ल'या 'अल्लाहु अअ्ज़म'या'अल्लाहुकबीरून' या 'अल्लाहुल अकबर या 'अल्लाहुल कबीर' या 'अर्रहमानु अकबर'या 'अल्लाहु इलाहुन' या 'ला इलाह–ह इल्लल्लाहु' या सुब्हानल्लाह;या

'अलहम्दुलिल्लाह'या 'ला इला–ह ग़ैरूहु' या 'तबारकल्लाह'वग़ैरा" अल्फ़ाज़े ताज़ीमी कहे तो इन से भी इब्तिदा हो जायेगी मगर यह तब्दीली मकरूहे तहरीमी है और अगर दुआ या तलबे हाजत के लफ़्ज़ हों मसलन :– अल्लाहुम्मग़फ़िरली'या 'अल्लाहुम्मरहमनी'या 'अल्लाहुम्मर्ज़ुक़नी' वग़ैरा अलफ़ाज़े दुआ कहे तो नमाज़ शुरू न हुई और अगर सिर्फ़ अल्लाह'या 'अऊज़ुबिल्लाह' या 'इन्नालिल्लाह या लाहौ–ल वलाकुव्व–त इल्ला बिल्लाह या 'माशा अल्लाहु का–न' या 0 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ कहा अल्लाहु'या 'अल्लाहुम–म' कहा तो नमाज़ शुरू न हुई और अगर सिर्फ़ 'अल्लाहु'कहा या 'अल्लाहुम्मा कहा हो जायेगी। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– लफ़्ज़े अल्लाह को आल्लाहु या अकबर को आकबर या अकबार कहा नमाज़ न होगी बल्कि अगर उनके ग़लत मअ्ना समझ कर क़स्दन कहे तो काफ़िर है। (दुर्रे मुख़्तार 1–323)

मसअ्ला :– पहली रकअ्त का रूकू मिल गया तो तकबीरे ऊला की फ़ज़ीलत पा गया।(आलमगीरी)

2. क़ियाम :– कमी की जानिब इसकी हद यह है कि हाथ फैलाये तो घुटनों तक न पहुँचें और पूरा क़ियाम यह है कि सीधा खड़ा हो।(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार 1–298)

मसअ्ला :– क़ियाम उतनी देर तक है जितनी देर क़िरात है यानी जितनी क़िरात फ़र्ज़ है उतनी देर क़ियाम वाजिब है और जितनी क़िरात सुन्नत है उतनी देर क़ियाम सुन्नत है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– यह हुक्म पहली रकअ्त के सिवा और रकअ्तों का है पहली रकअ्त में क़ियामे फ़र्ज़ में मिक़दारे तकबीरे तहरीमा भी शामिल होगी और क़ियामे मसनून यानी जितनी देर खड़ा होना सुन्नत है उस में सना और अऊज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह की मिक़दार भी शामिल है (रज़ा)

मसअ्ला :– क़ियाम व क़िरात का वाजिब व सुन्नत होने का यह मअ्ना है कि उस के तर्क पर तर्के वाजिब व सुन्नत का हुक्म दिया जायेगा वर्ना बजा लाने में जितनी देर तक क़ियाम किया और जो कुछ क़िरात की सब फ़र्ज़ ही है फ़र्ज़ का सवाब मिलेगा। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– फ़र्ज़ व वित्र व ईदैन व सुन्नते फ़ज्र में क़ियाम फ़र्ज़ है कि बिला सही उज़्र के बैठकर यह नमाज़ें पढ़ेगा न होंगी। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– एक पाँव पर खड़ा होना यानी दूसरे पाँव को ज़मीन से उठा लेना मकरूहे तहरीमी है और अगर उज़्र की वजह से ऐसा किया तो हरज नहीं। (आलमगीरी 1–65)

मसअ्ला :– अगर क़ियाम पर क़ादिर है मगर सजदा नहीं कर सकता तो उसे बेहतर यह है कि बैठकर इशारे से पढ़े और खड़े होकर भी पढ़ सकता है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जो शख़्स सजदा कर तो सकता है मगर सजदा करने से ज़ख़्म बहता है जब भी उसे बैठकर इशारे से पढ़ना मुस्तहब है और खड़े होकर इशारे से पढ़ना भी जाइज़ है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जिस शख़्स को खड़े होने से क़तरा आता है या ज़ख़्म बहता है और बैठने से नहीं तो उसे फ़र्ज़ है कि बैठकर पढ़े अगर और तौर पर उस की रोक न कर सके। यूँही खड़ा होने से चौथाई सतर खुल जायेगा या क़िरात बिल्कुल न कर सकेगा तो बैठकर पढ़े और अगर खड़े होकर

कुछ भी पढ़ सकता है तो फ़र्ज़ है कि जितनी पर क़ादिर हो खड़े होकर पढ़े बाक़ी बैठकर।
(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार 1–299)

मसअ्ला :– अगर इतना कमज़ोर है कि मस्जिद में जमाअ़त के लिये जाने के बाद खड़े होकर न पढ़ सकेगा और घर में पढ़े तो खड़ा होकर पढ़ सकता है तो घर में पढ़े जमाअ़त मयस्सर हो तो जमाअ़त से वर्ना तन्हा। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार1–299)

मसअ्ला :– खड़े होने से महज़ कुछ तकलीफ़ होना उ़ज्र नहीं बल्कि क़ियाम उस वक़्त साक़ित होगा (यानी माफ़ होगा) कि खड़ा न हो सके या सजदा न कर सके या खड़े होने या सजदा करने में ज़ख़्म बहता है या खड़े होने में क़त़रा आता है या चौथाई सत्र खुलता है या क़िरात से मजबूरे महज़ हो जाता है। यूँही खड़ा हो सकता है मगर उससे मर्ज़ में ज़्यादती होती या देर में अच्छा होगा या नाक़ाबिले बर्दाश्त तकलीफ़ होगी तो बैठ कर पढ़े। (ग़ुनिया)

मसअ्ला :– अगर लाठी या ख़ादिम या दीवार पर टेक लगाकर खड़ा हो सकता है तो फ़र्ज़ है कि खड़ा होकर पढ़े। (ग़ुनिया 259)

मसअ्ला :– अगर कुछ देर भी खड़ा हो सकता है अगर्चे इतना ही कि खड़ा होकर अल्लाहु अकबर कह ले तो फ़र्ज़ है कि खड़ा होकर इतना कह ले फिर बैठ जाये। (ग़ुनिया)

तम्बीहे ज़रूरी :– आजकल उ़मूमन यह बात देखी जाती है कि जहाँ ज़रा बुख़ार आया या ख़फ़ीफ़ सी तकलीफ़ हुई बैठकर नमाज़ शुरू कर दी हालाँकि वही लोग उसी हालत में दस–दस पन्द्रह–पन्द्रह मिनट बल्कि ज़्यादा खड़े होकर इधर उधर की बातें कर लिया करते हैं। उनको चाहिये कि इन मसाइल से आगाह हों और जितनी नमाज़ें बावुजूद क़ुदरते क़ियाम बैठकर पढ़ीं हों उनका लौटाना फ़र्ज़ है । यूँही अगर वैसे खड़ा न हो सकता था मगर लाठी या दीवार या आदमी के सहारे से खड़ा होना मुमकिन था तो वह नमाज़े भी न हुईं उन का फेरना फ़र्ज़। अल्लाह तआ़ला तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाये।

मसअ्ला :– कश्ती पर सवार है और वह चल रही है तो बैठकर उस पर नमाज़ पढ़ सकता है (ग़ुनिया) यानी जबकि चक्कर आने का गुमान ग़ालिब हो और किनारे पर उतर न सकता हो।

3. क़िरात :– क़िरात इसका नाम है कि तमाम हुरूफ़ मख़ारिज से अदा किये जायें कि हर हर्फ़ ग़ैर से सही तौर पर मुमताज़ हो जाये (मतलब यह है कि हर हर्फ़ को उनके सही मख़ारिज से पढ़े)और आहिस्ता पढ़ने में भी इतना होना ज़रूरी है कि ख़ुद सुने अगर हुरूफ़ को तसहीह तो की मगर इस क़द्र आहिस्ता कि ख़ुद न सुना और कोई बात ऐसी भी नहीं जो सुनने में रूकावट होती मसलन शोर गुल तो नमाज़ न होगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– यूँही जिस जगह कुछ पढ़ना या कहना मुक़र्रर किया गया है उससे यही मक़सद है कि कम से कम इतना हो कि ख़ुद सुन सके मसलन तलाक़ देने, आज़ाद करने, जानवर ज़िबह करने में। (आलमगीरी 1–65)

मसअ्ला :– मुतलक़न एक एक आयत पढ़ना फ़र्ज़ की दो रकअ़तों में और वित्र व नवाफ़िल की हर

रकअ़त में इमाम व मुनफ़रिद पर फ़र्ज़ है और मुक़तदी को किसी नमाज़ में क़िरात जाइज़ नहीं। न फ़ातिहा न आयत न आहिस्ता की नमाज़ में न जहर (बलन्द आवाज़ से पढ़ना) की नमाज़ में इमाम की क़िरात मुक़तदी के लिये भी काफ़ी है (आम्मए कुतुब)

मसअला :– फ़र्ज़ की किसी रकअ़त में क़िरात न की या फ़क़त एक में की, नमाज़ फ़ासिद हो गई। (आलमगीरी1–65)

मसअला :– छोटी आयत जिस में दो या दो से ज़ाइद कलिमात हों पढ़ लेने से फ़र्ज़ अदा हो जायेगा और अगर एक ही हर्फ़ की आयत हो जैसे :–0 قٓ0نٓ0 صٓ कि बाज़ क़िरातों में इनको आयत माना है तो इस के पढ़ने से फ़र्ज़ अदा न होगा अगर्चे इस की तकरार करे।(आलमगीरी,रद्दुल मुहतार) रही एक कलिमे की आयत 0 مُدْهَآمَّتٰنِ इस में इख़्तेलाफ़ है और बचने में एहतियात।

मसअला :– सूरतों के शुरू में 0 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ एक पूरी आयत है मगर सिर्फ़ इस के पढ़ने से फ़र्ज़ अदा न होगा। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– क़िराते शाज़्ज़ह यानी मशहूर क़िरात के अ़लावा क़िरात से फ़र्ज़ अदा न होगा। यूँही बजाय क़िरात आयत की हिज्जे की नमाज़ न होगी। (दुर्रे मुख़्तार)

4. रूकू :– इतना झुकना कि हाथ बढ़ाये तो घुटनों को पहुँच जाये यह रूकू का अदना दर्जा है (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा 1–300) और पूरा यह कि पीठ सीधी बिछा दे।

मसअला :– कुबड़ा शख़्स कि उस का कुबड़ हद्दे रुकू को पहुँच गया हो,रुकू के लिये सर से इशारा करे। (आलमगीरी)

5. सुजूद :– हदीस में है सब से ज़्यादा क़ुर्ब बन्दा को ख़ुदा से उस हालत में है कि सजदा में हो। लिहाज़ा दुआ ज़्यादा करो। इस हदीस को मुस्लिम ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत किया। पेशानी का ज़मीन पर जमना सजदे की हक़ीक़त है और पाँव की एक उंगली का पेट लगना शर्त तो अगर किसी ने इस तरह सजदा किया कि दोनों पाँव ज़मीन से उठे रहे नमाज़ न हुई बल्कि अगर सिर्फ़ उँगली की नोक ज़मीन से लगी जब भी न हुई इस मसअ़ले से बहुत लोग ग़ाफ़िल हैं। (दुर्रे मुख़्तार, 1–336 फ़तावए रज़विया)

मसअला :– अगर किसी उ़ज़्र के सबब पेशानी ज़मीन पर नहीं लगा सकता तो सिर्फ़ नाक से सजदा करे फिर भी फ़क़त नाक की नोक लगना काफ़ी नहीं बल्कि नाक की हड्डी ज़मीन पर लगना ज़रूरी है (आलमगीरी 1–65)

मसअला :– रुख़्सार (गाल)या ठोड़ी ज़मीन पर लगाने से सजदा न होगा ख़्वाह उज़्र के सबब हो या बिना उ़ज़्र अगर उ़ज़्र हो तो इशारे का हुक्म है। (आलमगीरी1–65)

मसअला :– हर रकअ़त में दो बार सजदा फ़र्ज़ है।

मसअला :– किसी नर्म चीज़ मसलन घास, रूई,क़ालीन वग़ैरा पर सजदा किया तो अगर पेशानी जम गई यानी इतनी दबी कि अब दबाने से न दबे तो जाइज़ है वर्ना नहीं (आ़लमगीरी) बाज़ जगह जाड़ों में मस्जिद में प्याल बिछाते हैं उन लोगों को सजदा करने में इसका लिहाज़ बहुत ज़रूरी है

कि अगर पेशानी खूब न दबी तो नमाज़ न हुई और नाक हड्डी तक न दबी तो मकरूहे तहरीमी वाजिबुल इआदा हुई। कमानी दार गद्दे जैसे आजकल स्पंचदार गद्दे पर सजदे में पेशानी खूब नहीं दबती। लिहाज़ा नमाज़ न होगी। रेल के बाज़ दर्जो में बाज़ गाड़ियों में इस क़िस्म के गद्दे होते हैं उस गद्दे से उतर कर नमाज़ पढ़नी चाहिये।

मसअ्ला :– दोपहिया यक्का वग़ैरा पर सजदा किया तो अगर उसका जुवा या बम बैल और घोड़े पर है सजदा न हुआ और ज़मीन पर रखा है तो हो गया (आलमगीरी 1–65) बहली का खटोला अगर बानों से बुना हुआ हो और इतना सख़्त बुना हो कि सर ठहर जाये दबाने से अब न दबे तो नमाज़ हो जाएगी वर्ना न होगी।

मसअ्ला :– ज्वार बाजरा वग़ैरा छोटे दानों जिन पर पेशानी न जमें सजदा न होगा अलबत्ता अगर बोरी वग़ैरा में खूब कस कर भर दिये गये कि पेशानी जमने में रुकावट न हो तो हो जायेगी। (आलमगीरी1–66)

मसअ्ला :– अगर किसी उज़्र मसलन भीड़ की वजह से अपनी रान पर सजदा किया जाइज़ है और बिला उज़्र बातिल और घुटने पर उज़्र व बिला उज़्र किसी हालत में नहीं हो सकता। (दुर्रे मुख़्तार 1–337 आलमगीरी1–66)

मसअ्ला :– भीड़–भाड़ की वजह से दूसरे की पीठ पर सजदा किया और वह नमाज़ ही में इसका शरीक है तो जाइज़ है वर्ना नाजाइज़ ख़्वाह वह नमाज़ ही में न हो या नमाज़ में तो हो मगर इसका शरीक न हो यानी दोनों अपनी अपनी पढ़ते हों। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– हथेली या आस्तीन या इमामे के पेच या किसी और कपड़े पर जिसे पहने हुए है सजदा किया और नीचे की जगह नापाक है तो सजदा न हुआ हाँ इन सब सूरतों में जब कि फिर पाक जगह पर सजदा कर लिया तो हो गया (मुनिया 121 दुर्रे मुख़्तार 1–337)

मसअ्ला :– इमामे के पेच पर सजदा किया अगर माथा खूब जम गया सजदा हो गया और माथा न जमा बल्कि फ़क़त छू गया कि दबाने से दबेगा या सर का कोई हिस्सा लगा तो न हुआ। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला : – ऐसी जगह सजदा किया कि क़दम की बनिस्बत बारह उँगल से ज़्यादा ऊँचा है सजदा न हुआ वर्ना हो गया। (दुर्रे मुख़्तार 1–338)

मसअ्ला :– किसी छोटे पत्थर पर सजदा किया अगर ज़्यादा हिस्सा पेशानी का लग गया हो गया वर्ना नहीं। (आलमगीरी1–66)

6. क़अ्दए अख़ीरा :– नमाज़ की रकअ्तें पूरी करने के बाद इतनी देर तक बैठना कि पूरी अत्तहीय्यात यानी रसूलुह तक पढ़ ली जाये फ़र्ज़ है। (आलमगीरी 1–66)

मसअ्ला :– चार रकअ्त पढ़ने के बाद बैठा फिर यह गुमान करके कि तीन ही हुई खड़ा हो गया फिर याद कर के कि चार रकअ्तें हो चुकी बैठ गया फिर सलाम फेर दिया अगर दोनों बार का बैठना मजमूअ़तन यानी दोनों को मिलाकर अत्तहीय्यात के मिक़दार हो गया तो फ़र्ज़ अदा हो गया वर्ना नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– पूरा क़अ्दए अख़ीरा सोते में गुज़र गया जागने के बाद अत्तहीय्यात के मिक़दार बैठना फ़र्ज़ है वर्ना नमाज़ न होगी। यूँही क़ियाम, क़िरात, रुकू सुजूद में अव्वल से आख़िर तक सोता ही

रहा तो जागने के बाद उनका लौटाना फ़र्ज़ है वर्ना नमाज़ न होगी और सजदए सहव भी करे लोग इस से गाफ़िल हैं , खुसूसन गर्मियों व तरावीह में। (रद्दुल मुहतार 1–306)

मसअ्ला :– पूरी रकअ्त सोते में पढ़ ली तो नमाज़ फ़ासिद हो गई। (दुर्रे मुख़्तार 1–306)

मसअ्ला : – चार रकअ्त वाले फ़र्ज़ में चौथी रकअ्त के बाद क़अ्दा न किया तो जब तक पाँचवीं का सजदा न किया हो बैठ जाये और पाँचवीं का सजदा कर लिया या फ़ज्र में दूसरी पर नहीं बैठा और तीसरी का सजदा कर लिया या मग़रिब में तीसरी पर न बैठा और चौथी का सजदा कर लिया तो इन सब सूरतों में फ़र्ज़ बातिल हो गये मग़रिब के सिवा और नमाज़ों में एक रकअ्त और मिला ले। (गुनिया 285)

मसअ्ला :– अत्तहीय्यात के मिक़दार बैठने के बाद याद आया कि सजदए तिलावत या नमाज़ का कोई सजदा करना है और कर लिया तो फ़र्ज़ है कि सजदे के बाद फ़िर अत्तहीय्यात के मिक़दार बैठे वह पहला क़अ्दा जाता रहा ,क़अ्दा न करेगा तो नमाज़ न होगी। (गुनिया 123)

मसअ्ला :– सजदए सहव करने से पहला क़ादा बातिल न हुआ मगर अत्तहीय्यात वाजिब है यानी अगर सजदए सहव करके सलाम फेर दिया तो फ़र्ज़ अदा हो गया मगर गुनाहगार हुआ लौटाना वाजिब है। (रद्दुल मुहतार)

7. खुरूज बिसुन्एही (यानी अपने इरादे से नमाज़ ख़त्म करना)

यानी क़अ्दए अख़ीरा के बाद सलाम, कलाम वग़ैरा कोई ऐसा फ़ेल जिससे नमाज़ जाती रहे बक़स्द यानी जानबूझ कर करना मगर सलाम के अलावा कोई दूसरा मुनाफ़ी क़स्दन पाया गया तो नमाज़ बाजिबुल इआ़दा हुई और बिला क़स्द कोई मुनाफ़ी पाया गया तो नमाज़ बातिल मसलन अत्तहीय्यात के मिक़दार बैठने के बाद तयम्मुम वाला पानी पर क़ादिर हुआ या मोज़े पर मसह किये हुये या और मुद्दत पूरी हो गई या अ़मले क़लील के साथ मोज़ा उतार दिया या बिल्कुल बे पढ़ा था और कोई आयत बे किसी के पढ़ाये महज़ सुनने से याद हो गई या नंगा था अब पाक कपड़ा बक़द्रे सत्र किसी ने लाकर दे दिया जिस से नमाज़ हो सके यानी नमाज़ न होने के मिक़दार उस में नजासत न हो या हो तो उस के पास कोई चीज़ ऐसी है जिस से पाक कर सके या यह भी नहीं मगर उस कपड़े की चौथाई या ज़्यादा पाक है या इशारे से पढ़ रहा है अब रुकू व सुजूद पर क़ादिर हो गया या साहिबे तरतीब को याद आया कि इस से पहले की नमाज़ नहीं पढ़ी है अगर वह साहिबे तरतीब इमाम है तो मुक़तदी की भी गई या इमाम को हदस हुआ और उम्मी को ख़लीफ़ा किया और अत्तहीय्यात के बाद ख़लीफ़ा किया तो नमाज़ हो गई या नमाज़े फ़ज्र में आफ़ताब तुलू कर आया या नमाज़ जुमा में अस्र का वक़्त आ गया या ईदैन में निस्फ़ुन्नहारे शरई हो गया या पट्टी पर मसह किये हुये था ज़ख़्म अच्छा हो कर गिर गई या साहिबे उ़ज़्र था अब उ़ज़्र जाता रहा यानी इस वक़्त से वह हदस मौक़ूफ़ हुआ यहाँ तक कि इस के बाद का दूसरा वक़्त पूरा ख़ाली रहा या नजिस कपड़े में नमाज़ पढ़ रहा था और उसे कोई चीज़ मिल गई जिस से तहारत हो सकती है या क़ज़ा पढ़ रहा था और वक़्ते मकरूह आ गया या बाँदी सर खोले नमाज़ पढ़ रही थी और आज़ाद हो गई और फ़ौरन सर न ढाँका इन सब सूरतों में नमाज़ बातिल हो गई। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– मुक़तदी उम्मी था और इमाम क़ारी और नमाज़ में उसे कोई आयत याद हो गई तो

नमाज़ बातिल न होगी। (दुर्रे मुख़्तार 1–408)

मसअ्ला :– क़ियाम व रुकू व सुजूद व क़अ्दए अख़ीरा में तरतीब फ़र्ज़ है अगर क़ियाम से पहले रुकू कर लिया फिर क़ियाम किया तो वह रुकूअ् जाता रहा अगर क़ियाम के बाद फिर रुकूअ् करेगा नमाज़ हो जायेगी वर्ना नहीं, यूँही रुकूअ् से पहले सजदा करने के बाद अगर रुकूअ् किया फिर सजदा कर लिया हो जायेगी वर्ना नहीं। (रद्दुल मुहतार 1–302)

मसअ्ला :– जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं उन में इमाम की इत्तिबाअ् मुक़तदी पर फ़र्ज़ है यानी उन में का कोई फ़ेल इमाम से पेश्तर अदा कर चुका और इमाम के साथ या इमाम के अदा करने के बाद अदा न किया तो नमाज़ न होगी मसलन इमाम से पहले रुकू या सजदा कर लिया और इमाम रुकू या सजदा में अभी आया भी न था कि उसने सर उठा लिया तो अगर इमाम के साथ या बाद को अदा कर लिया, हो गई वर्ना नहीं। (दुर्रे मुख़्तार1–302)

मसअ्ला :– मुक़तदी के लिए यह भी फ़र्ज़ है कि इमाम की नमाज़ को अपने ख़याल में सहीह तसव्वुर करता हो और अगर अपने नज़्दीक इमाम की नमाज़ बातिल समझता है तो उस की न हुई अगर्चे इमाम की नमाज़ सहीह हो (दुर्रे मुख़्तार 1–303)

वाजिबाते नमाज़

1 . तकबीरे तहरीमा में लफ़्ज़े अल्लाहु अकबर होना। 2–8. सुरह फ़ातिहा पढ़ना यानी उस की सातों आयतें कि हर आयत मुस्तकिल वाजिब है इन में एक आयत बल्कि एक लफ़्ज़ का तर्क भी तर्के वाजिब है 9 .सूरत मिलाना यानी एक छोटी सूरत जैसे 0 إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ या तीन छोटी आयतें जैसे 0 ثُمَّ نَظَرَ 0 ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ 0 ثُمَّ أَدْبَرَ وَ اسْتَكْبَرَ एक या दो आयतें आयतें तीन छोटी के बराबर पढ़ना। 10.11.नमाज़े फ़र्ज़ में दो पहली रकअ्तों में क़िरात वाजिब है। 12. 13. सूरह फ़ातिहा और उसके साथ सूरत मिलाना फ़र्ज़ की दो पहली रकअ्तों में और नफ़्ल व वित्र की हर रकअ्त में वाजिब है। 14. सूरह फ़ातिहा का सूरत से पहले होना। 15. हर रकअ्त में सूरत से पहले एक ही बार सूरह फ़ातिहा पढ़ना। 16. सूरह फ़ातिहा व सूरत के दरमियान किसी ग़ैर चीज़ का फ़ासिल न होना आमीन सूरह फ़ातिहा के ताबेअ् है और बिस्मिल्लाह सूरत के ताबेअ् है यह ग़ैर चीज़ नहीं।

17. क़िरात के बाद मुत्तसिलन यानी फ़ौरन रुकू करना।

18. एक सजदे के बाद दूसरा सजदा होना कि दोनों के दरमियान कोई रुक्न फ़ासिल न हो।

19. तअ्दीले अरकान (इत्मिनान से अरकान अदा करना)यानी रुकू व सुजूद व क़ौमा व जलसा में कम अज़ कम एक बार सुब्हानल्लाह कहने की क़द्र ठहरना।

20. यूँही क़ौमा यानी रुकूअ् से सीधा खड़ा होना। 21. जलसा यानी दो सजदों के दरमियान सीधा बैठना। 22. क़अ्दए ऊला अगर्चे नामज़े नफ़्ल हो। 23. और फ़र्ज़ व वित्र व सुनने रवातिब (मुअक्कदा) में क़ादए ऊला में अत्तहीय्यात पर कुछ न बढ़ाना। 24,25. दोनों क़अ्दों में पूरी अत्तहीय्यात पढ़ना यूँही जितने क़अ्दे करने पड़ें सब में पूरी अत्तहीय्यात वाजिब है एक लफ़्ज़ भी अगर छोड़ेगा तर्के वाजिब होगा। 26,27. लफ़्ज़े'अस्सलामु' दो बार वाजिब है और लफ़्ज़े 'अ़लैकुम' वाजिब नहीं। 28 वित्र में दुआए कुनूत पढ़ना। 29. तकबीरे कुनूत यानी दुआए कुनूत से पहले जो

तकबीर कहते हैं। 30–35. ईदैन की छओं (6)तकबीरें। 36. ईदैन में दूसरी रकअ़त के रुकू की तकबीर। 37. इस तकबीर के लिये लफ़्ज़े अल्लाहु अकबर होना। 38 .हर जहरी नमाज़ में इमाम को जहर (यानी आवाज़) से क़िरात करना। 39. गैर जहरी में आहिस्ता यानी जिन नमाज़ों में जहरी का हुक्म नहीं उनमें आहिस्ता पढ़ना वाजिब है। 40. वाजिब व फ़र्ज़ों का उसकी जगह पर होना। 41. रुकू का हर रकअ़त में एक ही बार होना मतलब एक से ज़्यादा रुकू न करना। 42. सुजूद का दो ही बार होना यानी दो से ज़्यादा सजदे न करना। 43. दूसरी रकअ़त से पहले क़अ़दा न करना। 44. चार रकअ़त वाली में तीसरी पर कअ़दा न होना। 45. आयते सजदा पढ़ी हो तो सजदए तिलावत करना। 46. सहव हुआ हो तो सजदा सहव करना 47. दो फ़र्ज़ या दो वाजिब या वाजिब व फ़र्ज़ के दरमियान तीन तस्बीह की क़द्र वक़्फ़ा न होना यानी,इनके दरमियान इतनी देर न ठहरे जितनी देर में तीन बार सुब्हानल्लाह कह ले। 48, इमाम जब क़िरात करे बलन्द आवाज़ से हो ख़्वाह आहिस्ता उस वक़्त मुक़तदी का चुप रहना 49. सिवा क़िरात के तमाम वाजिबात में इमाम की मुताबअ़त (पैरवी)करना।(आलमगीरी 1/66 दुर्रे मुख़्तार 1/307)

मसअ्ला :– किसी क़अ़दे में अत्तहीयात का कोई हिस्सा भूल जाये तो सजदए सहव वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार 1/313)

मसअ्ला :– आयते सजदा पढ़ी और सजदा करने में सहवन (भूल से)तीन आयत या ज़्यादा की देर हुई तो सजदए सहव करे। (गुनिया 291)

मसअ्ला :– सूरत पहले पढ़ी उसके बाद सूरह फ़ातिहा या सूरह फ़ातिहा व सूरत के दरमियान देर तक यानी तीन बार सुब्हानल्लाह कहने की मिक़दार चुपका रहा यानी इतनी देर तक चुप रहा कि जितनी देर में तीन मरतबा सुब्हानल्लाह कह ले तो सजदए सहव वाजिब है।(दुर्रे मुख़्तार 1–307)

मसअ्ला :– सूरह फ़ातिहा का एक लफ़्ज़ भी रह गया तो सजदए सहव करे (दुर्रे मुख़्तार 1–309)

मसअ्ला :– जो चीज़ें फ़र्ज़ व वाजिब हैं मुक़तदी पर वाजिब है कि इमाम ~~के साथ उन्हें~~ अदा करे बशर्ते कि किसी वाजिब का तआ़रुज़ (टकराव)न हो और तआ़रुज़ हो तो उसे फ़ौत न करे बल्कि उस को अदा करके मुताबअ़त(पैरवी) करे मसलन इमाम अत्तहीय्यात पढ़ कर खड़ा हो गया और मुक़तदी ने अभी पूरी नहीं पढ़ी तो मुक़तदी को वाजिब है कि पूरी कर के खड़ा हो और सुन्नत में मुताबअ़त सुन्नत है बशर्ते कि तआ़रुज़ न हो और तआ़रुज़ हो तो उस को तर्क करे और इमाम की मुताबअ़त करे मसलन रुकू या सजदे में उसने तीन तस्बीह न कही थी इमाम ने सर उठा लिया तो वह भी उठा ले। (रद्दुल मुहतार 1–316)

मसअ्ला :– अल्फ़ाज़े अत्तहीय्यात से उनके मआ़नी का क़स्द(इरादा)और इनशा ज़रूरी है गोया अल्लाह तआ़ला के लिए तहीय्यत करता है और नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम और अपने ऊपर और औलिया अल्लाह पर सलाम भेजता है न यह कि वाक़िआ़ मेअ़्राज की हिक़ायत मद्देनज़र हो। (आलमगीरी,1–7दुर्रे मुख़्तार 1–345)

मसअ्ला :– फ़र्ज़ व वित्र व सुन्नते मुअक्कदा के क़अ़दए ऊला में अगर अत्तहीय्यात के बाद इतना कह लिया "अल्लाहुम–म स़ल्लि अ़ला मुहम्मदिन"या "अल्लाहुम–म स़ल्लि अ़ला सय्यिदिना"तो अगर भूल कर कहा तो सजदए सहव कर ले और अगर जानबूझ कर हो तो लौटाना वाजिब है।

(मसअ्ला :– मुक़तदी क़अ्दए ऊला में इमाम से पहले अत्तहीय्यात पढ़ चुका तो सुकूत करे यानी ख़ामोश रहे दुरूद व दुआ कुछ न पढ़े और मसबूक़ (जिसे शुरू से जमाअ्त न मिली यानी जिसकी रकअ्त छूट गई हो) को चाहिये कि क़अ्दए अख़ीरा में ठहर ठहर कर पढ़े कि इमाम के सलाम के वक़्त फ़ारिग़ हो और सलाम से पेश्तर फ़ारिग़ हो चुका तो कलिमाए शहादत की तकरार करे।(दुर्रेमुख़्तार)

नमाज़ की सुन्नतें

1. तहरीमा के लिये हाथ उठाना। 2. हाथों की उंगलियाँ अपने हाल पर छोड़ना यानी न बिल्कुल मिलाये न –ब–तकल्लुफ़ कुशादा रखे बल्कि अपने हाल पर छोड़ दे। 3. हथेलियों और उंगलियों के पेट का क़िब्ला–रू होना। 4. ब–वक़्ते तकबीर सर न झुकाना 5. तकबीर से पहले हाथ उठाना 6. तकबीरे कुनूत में कानों तक हाथ ले जाने के बाद तकबीर कहे 7. यूँ ही ईदैन में कानों तक हाथ ले जाने के बाद तकबीर कहे और इनके अ़लावा किसी ज़गह नमाज़ में हाथ उठाना सुन्नत नहीं (आलमगीरी 1 /68)

मसअ्ला :– अगर तकबीर कह ली और हाथ न उठाया तो अब न उठाये और अगर मोज़ए मसनून यानी जहाँ तक हाथ उठाना सुन्नत है वहाँ तक मुमकिन न हो तो जहाँ तक हो सके उठाये।(आलमगीरी1/68)

मसअ्ला :– औरत के लिये सुन्नत यह है कि मोंढों तक हाथ उठाये (रद्दुल मुहतार 1–324)

मसअ्ला :– कोई शख़्स एक ही हाथ उठा सकता है तो एक ही उठाये और अगर हाथ मोज़ए मसनून से ज़्यादा करे जब ही उठता है तो उठाये। (आलमगीरी 1–68) 9 इमाम का बलन्द आवाज़ से अल्लाहु अकबर कहना 10. समिअ़ल्लाहु लिमन हमिदह कहना। 11. सलाम कहना जिस क़द्र बलन्द आवाज़ की हाजत हो और बिला हाजत बहुत ज़्यादा बलन्द आवाज़ करना मकरूह है।

मसअ्ला :– इमाम को तकबीरे तहरीमा और तकबीराते इन्तेक़ाल सब जहर से होना सुन्नत है यानी ऊँची आवाज़ से हो कि सब सुन लें। (रद्दुल मुहतार 1–319)

मसअ्ला :– अगर इमाम की तकबीर की आवाज़ तमाम मुक़तदियों को नहीं पहुँचती तो बेहतर है कि कोई मुक़तदी भी बलन्द आवाज़ से तकबीर कहे कि नमाज़ शुरू होने और इन्तिकालात (हालात बदलने)का हाल सब को मालूम हो जाये और बिला ज़रूरत मकरूह व बिदअ्त है।(रद्दुल मुहतार1–320)

मसअ्ला :– तकबीरे तहरीमा से अगर तहरीमा मक़सूद न हो बल्कि महज़ एलान मक़सूद हो तो नमाज़ ही न होगी यूँ होना चाहिये कि नफ़्से तकबीर से तहरीमा मक़सूद हो और जहर से एलान यूँ ही आवाज़ पहुँचाने वाले को क़स्द करना चाहिये अगर उसने फ़क़त आवाज़ पहूँचाने का क़स्द किया तो न इसकी नमाज़ हो न उसकी जो उसकी आवाज़ पर तहरीमा बान्धे और अ़लावा तकबीरे तहरीमा के और तकबीरात या 'समिअ़ल्लाहु लिमन हमिदह' या 'रब्बना व–लकलहम्द'में अगर महज़ एलान का क़स्द हो तो नमाज़ फ़ासिद न होगी अलबत्ता मकरूह होगी कि तर्के सुन्नत है यानी सुन्नत का छोड़ना है (रद्दुल मुहतार 1–319)

मसअ्ला :– मुकब्बिर को चाहिये कि उस जगह से तकबीर कहे जहाँ से लोगों को उसकी हाजत है पहली या दूसरी सफ़ में जहाँ तक इमाम की आवाज़ बिला तकल्लुफ़ पहुँचती है यहाँ से तकबीर कहने का क्या फ़ायदा यह बहुत ज़रूरी है कि इमाम की आवाज़ के साथ तकबीर कहे इमाम के कह लेने के बाद तकबीर कहने से लोगों को धोका लगेगा नीज़ यह कि अगर मुकब्बिर ने तकबीर में मद (दराज़ करना) किया तो इमाम के तकबीर कह लेने के बाद इसकी तकबीर ख़त्म होने का

इन्तिज़ार न करें बल्कि अत्तहीय्यात वग़ैरा पढ़ना शुरू कर दें यहाँ तक कि अगर इमाम तकबीर कहने के बाद उसके इन्तिज़ार में तीन बार सुबहानल्लाह कहने के बराबर ख़ामोश रहा उसके बाद अत्तहीय्यात शुरू की तर्के वाजिब हुआ नमाज़ वाजिबुल इआदा है यानी लौटाना वाजिब।

मसअ्ला :– मुक़तदी व मुन्फ़रिद को जहर की हाजत नही सिर्फ़ इतना ज़रूरी है कि ख़ुद सुने (दुर्रे मुख़्तार, 1–319 बहर 1–303)

12. तकबीर के बाद फ़ौरन हाथ बाँध लेना यूँ कि मर्द नाफ़ के नीचे दाहिने हाथ की हथेली बाईं कलाई के जोड़ पर रखे और बाक़ी उंगलियों को बाईं कलाई की पुश्त पर बिछाये और औरत व ख़ुन्सा बाईं हथेली सीने पर छाती के नीचे रख कर उसकी पुश्त पर दाहिनी हथेली रखे (ग़ुनिया वग़ैरा 294) बाज़ लोग तकबीर के बाद हाथ सीधे लटका लेते हैं फिर बाँधते हैं यह न चाहिये बल्कि नाफ़ के नीचे लाकर बाँध ले।

मसअ्ला :– बैठे या लेटे नमाज़ पढ़े जब भी यूँ ही हाथ बाँधे। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जिस क़ियाम में ज़िक्र मसनून हो उस में हाथ बाँधना सुन्नत है तो सना और दुआये क़ुनूत पढ़ते वक़्त और जनाज़े में तकबीरे तहरीमा के बाद चौथी तकबीर तक हाथ बाँधे रखे और रुकू से खड़े होने और तकबीराते ईदैन में हाथ न बाँधे। (रद्दुल मुहतार 1–328)

13 .सना व 14.तअव्वुज़ व 15. तस्मिया व 16. आमीन कहना 17. और इन सब का आहिस्ता होना 18–पहले सना पढ़े 19–फ़िर तअव्वुज़ 20–फिर तस्मिया 21–और हर एक के बाद दूसरे को फ़ौरन पढ़े वक़्फ़ा न करे तहरीमा के बाद फ़ौरन सना पढ़े और सना में وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ ग़ैरे जनाज़ा में न पढ़े यानी सिर्फ़ नमाज़े जनाज़ा में وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ पढे और दीगर अज़कार (ज़िक्र की जमा) जो अहादीस में वारिद हैं वह सब नफ़्ल के लिये हैं। (दुर्रे मुख़्तार 1–328)

मसअ्ला :– इमाम ने जहर के साथ क़िरात शुरू कर दी तो मुक़तदी सना न पढ़े अगर्चे दूर होने की वजह से या बहरे होने की वजह से इमाम की आवाज़ न सुनता हो जैसे जुमे व ईदैन में पिछली सफ़ के मुक़तदी कि दूर होने की वजह से क़िरात नहीं सुनते (आलमगीरी 1–85)इमाम आहिस्ता पढ़ता हो तो पढ़ ले। (रद्दुल मुहतार 1–328)

मसअ्ला :– इमाम को रुकू या पहले सजदे में पाया तो अगर ग़ालिब गुमान है कि सना पढ़कर पा लेगा तो पढ़े और क़अ्दा या दूसरे सज्दे में पाया तो बेहतर यह है कि बग़ैर सना पढ़े शामिल हो जाये। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल,मुहतार 1–328)

मसअ्ला :– नमाज़ में अऊज़ु व बिस्मिल्लाह क़िरात के ताबेअ् हैं और मुक़तदी पर क़िरात नहीं। लिहाज़ा तअव्वुज़ व तस्मिया भी उन के लिये मसनून नहीं। हाँ जिस मुक़तदी की कोई रकअ्त जाती रही हो तो जब वह अपनी बाक़ी रकअ्त पढ़े उस वक़्त इन दोनों को पढ़े।(दुर्रे मुख़्तार 1–329)

मसअ्ला :– तअव्वुज़ सिर्फ़ पहली रकअ्त में है और तस्मिया हर रकअ्त के अव्वल में मसनून है। फ़ातिहा के बाद अगर अव्वल सूरत शुरू की तो सूरत पढ़ते वक़्त बिस्मिल्लाहि पढ़ना मुस्तहसन (अच्छा) है। क़िरात ख़्वाह सिर्री हो या जहरी मगर बिस्मिल्लाह बहर हाल आहिस्ता पढी जाये।

मसअ्ला :– अगर सना व तअव्वुज़ व तस्मिया पढ़ना भूल गया और क़िरात शुरू कर दी तो इआदा न करे यानी लौटाए नहीं कि उन का महल ही फ़ौत हो गया (यानी जहाँ पढ़ना था उस से आगे बढ़ गया)

यूँही अगर सना पढ़ना भूल गया और तअव्वुज़ शुरू कर दिया तो सना का इआदा नहीं। (रद्दुल मुहतार1–329)

मसअला :– मसबूक़ शुरू में सना न पढ़ सका तो जब अपनी बाक़ी रकअ़त पढ़ना शुरू करे उस वक़्त पढ़ ले। (ग़ुनिया)

मसअला :– फ़राइज़ में नियत के बाद तकबीर से पहले या बाद "इन्नी वज्जहतु" (आख़िर तक) न पढ़े और पढ़े तो उसके आख़िर में "व अना अव्वलुल मुस्लिमीन" की जगह "व अना मिनल मुस्लिमीन" कहे।(ग़ुनिया वग़ैरा)

मसअला :– ईदैन में तकबीरे तहरीमा ही के बाद सना कह ले और सना पढ़ते वक़्त हाथ बाँध ले और अऊज़ु बिल्लाह चौथी तकबीर के बाद कहे। (दुर्रे मुख़्तार 1–329)

मसअला :– आमीन को तीन तरह पढ़ सकते हैं मद कि अलिफ़ को खींचकर पढ़ें और क़स्र कि अलिफ़ को दराज़ न करें और इमाला की मद की सूरत में अलिफ़ को या की तरफ़ माइल करें। जैसे आमीन या अमीन, या एमीन (दुर्रे मुख़्तार 1–331)

मसअला :– अगर मद के साथ मीम को तश्दीद पढ़ी यानी आम्मीन या य' को गिरा दिया यानी आमिन पढ़ा। इन दोनों सूरतो में नमाज़ हो जायेगी मगर ख़िलाफ़े सुन्नत है। और अगर मद के साथ मीम को तश्दीद पढ़ी और या को हज़फ़ (ख़त्म)कर दिया यानी आम्मिन पढ़ा या क़स्र के साथ तश्दीद पढ़ा यानी अम्मीन पढ़े या हज़फ़े 'य'हो यानी अमिन पढ़े तो इन तीनों सूरतों में नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी। (दुर्रे मुख़्तार 1–331)

मसअला :– इमाम की आवाज़ उस को न पहुँची मगर उसके बराबर वाले दूसरे मुक़तदी ने आमीन कही और उसने आमीन की आवाज़ सुन ली अगर्चे उसने आहिस्ता कही है तो यह भी आमीन कहे ग़र्ज़ यह कि इमाम का وَلَا الضَّآلِّيْنَ कहना मालूम हो तो आमीन कहना सुन्त हो जायेगा, इमाम की आवाज़ सुने या किसी मुक़तदी के आमीन कहने से मालूम हुआ हो। (दुर्रे मुख़्तार 1–331)

मसअला :– सिर्री नमाज़ में इमाम ने आमीन कही और यह उसके क़रीब था कि इमाम की आवाज सुन ली तो यह भी कहे। (दुर्रे मुख़्तार 1–331)

24.रुकू में तीन سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْعَظِیْم कहना। 25. घुटनों को हाथ से पकड़ना। 26.उंगलियाँ ख़ूब खुली रखना यह हुक्म मर्दों के लिये है। 27. औरतों के लिये सुन्नत घुटनों पर हाथ रखना है। 28. और उंगलियाँ कुशादा न करना है आजकल अकसर मर्द रुकू में महज़ हाथ रख देते हैं और उँगलियाँ मिलाकर रखते हैं यह ख़िलाफ़े सुन्नत है। 29. हालते रुकू में टाँगें सीधी होना अकसर लोग कमान की तरह टेढ़ी कर लेते हैं यह मकरुह है। 30.रुकू के लिये अल्लाहु अकबर कहना।

मसअला :– अगर ज़ोए(ظ) अदा न हो सके तो سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْعَظِیْم की जगह سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْکَرِیْم कहे (रद्दुल मुहतार 1–332)

मसअला :– बेहतर यह है कि अल्लाहु अकबर कहता हुआ रुकू को जाये यानी जब रुकू के लिये झुकना शुरू करे तो अल्लाहु अकबर कहना शुरू करे और ख़त्मे रुकू पर तकबीर ख़त्म करे। (आलमगीरी 1–69) इस मसाफ़त(दूरी)को पूरा करने के लिये अल्लाह के 'लाम' को बढ़ाये अकबर की 'बे'वग़ैरा किसी हर्फ़ को न बढ़ाये।

मसअला :– 31. हर तकबीर में अल्लाहु अकबर की 'रे' को जज़्म पढ़े। (आलमगीरी 1–69)

मसअला – आखिर सूरत में अगर अल्लाह तआला की सना हो तो अफ़ज़ल यह है कि क़िरात को तकबीर से वस्ल करे यानी मिला दे जैसे :–

وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اَللّٰهُ اَكْبَرُ. وَ اَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

और अगर आखिर में कोई लफ़्ज़ ऐसा है जिसका इस्मे जलालत(अल्लाह के नाम)के साथ मिलना नापसन्द हो तो फ़स्ल बेहतर है यानी ख़त्मे क़िरात पर ठहरे फिर अल्लाहु अकबर कहे जैसे اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ٥ में वक़्फ़ व फ़स्ल करे फिर रुकू के लिए अल्लाहु अकबर कहे और दोनों न हों तो फ़स्ल व वस्ल दोनों यकसाँ हैं। (रद्दुल मुहतार,फ़तावा रज़विया)

मसअला :– किसी आने वाले की वजह से रुकू या क़िरात में तूल देना यानी क़िरात वग़ैरा को बढ़ा देना मकरूहे तहरीमी है जबकि उसे तूल देना हो यानी उसकी ख़ातिर मलहूज़ हो और न पहचानता हो तो तवील करना (क़िरात व रुकू का बढ़ाना)अफ़ज़ल है कि नेकी पर इआनत (मदद)है मगर इस क़द्र तूल न दे कि मुक़तदी घबरा जायें। (रद्दुल मुहतार 1–332)

मसअला – मुक़तदी ने अभी तीन बार तस्बीह न कही थी कि इमाम ने रुकू या सजदा से सर उठा लिया तो मुक़तदी पर इमाम की मुताबअत (पैरवी) वाजिब है और अगर मुक़तदी ने इमाम से पहले सर उठा लिया तो मुक़तदी पर लौटना वाजिब है न लौटेगा तो कराहते तहरीम का मुरतकिब होगा गुनाहगार होगा। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार 1–333)

मसअला – 32.रुकू में पीठ खूब बिछी रखे यहाँ तक कि अगर पानी का प्याला उस की पीठ पर रख दिया जाये तो ठहर जाये। (फ़तहुल क़दीर 1–259)

मसअला :– रुकू में ने सर झुकाये न ऊँचा हो बल्कि पीठ के बराबर हो (हिदाया 1–89)हदीस में है उस शख़्स की नमाज़ नाकाफ़ी है (यानी कामिल नहीं) जो रुकू व सुजूद में पीठ सीधी नहीं करता। यह हदीस अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा व दारमी ने अबू मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की और तिर्मिज़ी ने कहा यह हदीस हसन सही है और फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रुकू व सुजूद को पूरा करो कि ख़ुदा की क़सम मैं तुम्हें अपने पीछे से देखता हूँ। इस हदीस को बुख़ारी व मुस्लिम ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया।

मसअला :– 33. औरत रुकू में थोड़ा झुके यानी सिर्फ़ इस क़द्र कि हाथ घुटनों तक पहुँच जायें,पीठ सीधी न करे और घुटनों पर ज़ोर न दे बल्कि महज़ हाथ रख दे और हाथों की उंगलियाँ मिली हुई रखे और पाँव झुके हुए रखे मर्दों की तरह खूब सीधी न कर दे। (आलमगीरी 1–68)

मसअला :– तीन बार तस्बीह अदना दर्जा है कि इस से कम में सुन्नत अदा न होगी और तीन बार से ज़्यादा कहे तो अफ़ज़ल है मगर ख़त्म ताक़ (बेजोड़) अदद पर हो ,हाँ अगर यह इमाम है और मुक़तदी घबराते हों तो ज़्यादा न करे।(फ़तहुल क़दीर 1–259)

हिलया में अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रदियल्लाहु तआला अन्हु वग़ैरा से है कि इमाम के लिये तस्बीहात पाँच बार कहना मुस्तहब है। हदीस में है कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब कोई रुकू करे और तीन बार سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْعَظِيْم कहे तो उसका रुकू पूरा हो गया और यह अदना दर्जा है और जब सजदा करे और तीन बार हो गया سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى कहे तो सजदा पूरा हो गया यह अदना दर्जा है इस ,को अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने अब्दुल्लाह

इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया।

मसअला :– 34–रुकू से जब उठे तो हाथ न बाँधे लटका हुआ छोड़े दे। (आलमगीरी)

मसअला :–35 سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ की ه को साकिन पढ़े उस पर हरकत ज़ाहिर न करे ना دको बढ़ाये (आलमगीरी) 36.रुकू से उठने में इमाम के लिए سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ कहना 37 .और मुक़तदी के लिये اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ कहना 38. और मुनफ़रिद को दोनों कहना सुन्नत है।

मसअला :– رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ से भी सुन्नत अदा हो जाती है मगर وहोना बेहतर है और اَللّٰهُمَّ होना उससे बेहतर और सब में बेहतर यह कि दोनों हो यानी اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ (दुर्रे मुख़्तार 1–334) हुजूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं जब इमाम سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ कहे तो اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ कहो कि जिस का क़ौल फ़रिश्तों के क़ौल के मुवाफ़िक़ हुआ उस के अगले गुनाह की मग़फ़िरत हो जायेगी इस हदीस को बुख़ारी व मुस्लिम ने अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया।

मसअला : – मुनफ़रिद سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ कहता हुआ रुकू से उठे और सीधा खड़ा होकर اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ कहे (दुर्रे मुख़्तार 1–334)39.सजदे के लिए और 40.सजदे से उठने के लिये अल्लाहु अकबर कहना 41.और सजदे में कम से कम तीन बार سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى कहना 42. और सजदे में हाथ का ज़मीन पर रखना। (दुर्रे मुख़्तार 1–339)

मसअला : – 43. सजदे में जाये तो ज़मीन पर पहले घुटने रखे। 44.फिर हाथ 45.फिर नाक 46.फिर पेशानी और जब सजदे से सर उठाये इस का उल्टा करे यानी 47 पहले पेशानी उठाये 48.फिर नाक 49–फ़िर हाथ 50.फिर घुटने(आलमगीरी 1–70)रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब सजदे को जाते तो पहले घुटने रखते फ़िर हाथ और जब उठते तो पहले हाथ उठाते फिर घुटने असहाबे सुनने अरबा और दारमी ने इस हदीस को वाइल इब्ने हजर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया।

मसअला :– मर्द के लिये सजदे में सुन्नत यह है कि 51–बाज़ू करवटों से जुदा हों 57–और पेट रानों से 53–और कलाईयाँ ज़मीन पर न बिछाये मगर जब सफ़ में हो तो बाज़ू करवटों से जुदा न होंगे (हिदाया 1–90 आलमगीरी1–70 दुर्रे मुख़्तार 1–338)हदीस में है जिस को बुख़ारी व मुस्लिम ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सजदे में एअ्तिदाल(दरमियानी हालत)करे–और कुत्ते की तरह कलाईयाँ न बिछाये और सही मुस्लिम में बर्रा इब्ने आज़िब रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुज़ूर फ़रामते हैं जब तू सजदा करे तो हथेली को ज़मीन पर रख दे और कोहनियाँ उठा ले। अबू दाऊद ने उम्मुल मोमिनीन मैमूना रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि जब हुज़ूर सजदा करते तो दोनों हाथ करवटों से दूर रखते यहाँ तक कि हाथों के नीचे से अगर बकरी का बच्चा गुज़रना चाहता तो गुज़र जाता और मुस्लिम की रिवायत भी इसी के मिस्ल है। दूसरी रिवायत बुख़ारी व मुस्लिम की अब्दुल्लाह इब्ने मालिक इब्ने बुहैना से यूँ है कि हाथों को कुशादा रखते यहाँ तक कि बग़ल मुबारक की सफ़ेदी ज़ाहिर होती।

मसअला :– औरत सिमट कर सजदा करे यानी बाज़ू करवटों से मिला दे और पेट रान से 57 और

रान पिंडलियों से 58 .और पिंडलियाँ ज़मीन से। (आलमगीरी वग़ैरा 1–70)

मसअला :– 59. दोनों घुटने एक साथ ज़मीन पर रखे और अगर किसी उज़्र से एक साथ न रख सकता हो तो पहले दाहिना रखे फिर बायाँ। (रद्दुल मुहतार 1–335)

मसअला :– अगर कोई कपड़ा बिछा कर उस पर सजदा करे तो हर्ज नहीं और जो कपड़ा पहने हुए है उस का कोना बिछा कर सजदा किया या हाथों पर सजदा किया तो अगर उज़्र नहीं है तो मकरूह है और अगर वहाँ कंकरियाँ हैं या ज़मीन सख़्त गर्म या सख़्त सर्द है तो मकरूह नहीं और वहाँ धूल हो और इमामे को गर्द से बचाने के लिये पहने हुए कपड़े पर सजदा किया तो हर्ज नहीं और चेहरे को ख़ाक से बचाने के लिये किया तो मकरूह है। (दुर्रे मुख़्तार 1–338)

मसअला :– अचकन वग़ैरा बिछा कर नमाज़ पढ़े तो उस के ऊपर का हिस्सा पाँव के नीचे रखे और दामन पर सजदा करे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– सजदे में एक पाँव उठा हुआ रखना मकरूह और मना है। (दुर्रे मुख़्तार 1–339) 60.दोनों सजदों के दरमियान अत्तहीय्यात की तरह बैठना यानी बायाँ क़दम बिछाना और दाहिना खड़ा रखना। 61.और हाथों का रानों पर रखना 62.सजदों में उंगलियाँ क़िबला –रू होना 63.हाथों की उंगलियाँ मिली हुई होना। (दुर्रे मुख़्तार 1–335)

मसअला :– सजदे में दोनों पाँव की दसों उंगलियों के पेट ज़मीन पर लगना सुन्नत है,और हर पाँव की तीन तीन उंगलियों के पेट ज़मीन पर लगना वाजिब और दसों का क़िबला रू होना सुन्नत। (फ़तावा रज़विया 1–565)

मसअला :– जब दोनों सजदे कर ले तो दूसरी रकअ़त के लिये 65.पंजो के बल 66.घुटनों पर हाथ रखकर उठे यह सुन्नत है हाँ कमज़ोरी वग़ैरा उज़्र के सबब अगर ज़मीन पर हाथ रखकर उठा जब भी हरज नहीं (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार) अब दूसरी रकअ़त में सना तअव्वुज़ न पढ़े दूसरी रकअ़त के सजदों से फ़ारिग़ होने के बाद 67.बायाँ पाँव बिछा कर 68.दोनों सुरीन उस पर रखकर बैठना। 69.और दाहिना क़दम खड़ा रखना 70.और दाहिने पाँव की उंगलियाँ क़िबला रूख करना यह मर्दों के लिये है 71.और औरत दोनों पाँव दाहिनी जानिब निकाल दे और 72.बाएं सुरीन पर बैठे 73.और दाहिना हाथ दाहिनी रान पर रखना 74.और बायाँ बाईं पर 75.और उंगलियों को अपनी हालत पर छोड़ना कि न खुली हुई हों न मिली हुई 76.और उंगलियों के किनारे घुटनों के पास होना घुटने पकड़ना न चाहिये 77.शहादत पर इशारा करना यूँ कि छंगुलिया और उस के पास वाली को बंद कर ले, अंगूठे और बीच की उंगली का हलक़ा बाँधे और 'ला' पर कलिमे की उंगली उठाये और 'इल्ला'पर रख दे और सब उंगलियाँ सीधी कर ले। हदीस में है जिस को अबू दाऊद व नसई ने अ़ब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत किया कि नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जब दुआ़ करते (अत्तहीय्यात में कलिमए शहादत पर पहुँचते)तो उंगली से इशारा करते और हरकत न देते नीज़ तिर्मिज़ी व नसई व बैहक़ी अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि एक शख़्स को दो उंगलियों से इशारा करते देखा फ़रमाया तौहीद कर तौहीद कर(एक उंगली से इशारा कर)

मसअला :– 78.क़ादए ऊला के बाद तीसरी रकअ़त के लिये उठे तो ज़मीन पर हाथ रखकर न उठे बल्कि घुटनों पर ज़ोर देकर हाँ अगर उज़्र रहे तो हर्ज नहीं। (ग़ुनिया)

मसअला :– नमाज़े फर्ज़ की तीसरी और चौथी रकअ़त में अफ़ज़ल सुरह फ़ातिहा पढ़ना है और

सुब्हानल्लाह कहना भी जाइज़ है और बक़द्र तीन तस्बीह के चुप खड़ा रहा तो भी नमाज़ हो जायेगी मगर सुकूत न चाहिये यानी ख़ामोश नहीं रहना चाहिए। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– दूसरे क़अ्दे में भी उसी तरह बैठे जैसे पहले में बैठा था और अत्तहीय्यात भी पढ़े (दुर्रे मुख़्तार) 79.अत्तहीय्यात के बाद दूसरे क़अ्दे में दुरूद शरीफ़ पढ़ना और अफ़ज़ल वह दुरूद है जो पहले ज़िक्र हुआ।

मसअला :– दुरूद शरीफ़ में हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम और हुज़ूर सय्येदिना इब्राहीम अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम के असमाये तय्येबा के साथ लफ़्ज़े सय्येदिना कहना बेहतर है।

(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार1–345)

फ़ज़ाइले दुरूद

दुरूद शरीफ़ पढ़ने के फ़ज़ाइल में अहादीस बहुत आई हैं तबर्रुकन बाज़ ज़िक्र की जाती हैं।

हदीस न.1 :– सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अ़न्हु से मरवी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजे अल्लाह तआला उस पर दस बार दुरूद नाज़िल फ़रमायेगा।

हदीस न.2 :– नसई की रिवायत अनस रदियल्लाहु तआला अ़न्हु से यूँ है कि फ़रमाते हैं जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजे अल्लाह तआला उस पर दस दुरूद नाज़िल फ़रमायेगा और उसकी दस ख़तायें मिटा देगा और दस दर्जे बलंद फ़रमायेगा।

हदीस न.3 :– इमाम अहमद अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआला अ़न्हुमा से रावी फ़रमाते हैं जो नबी सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो मुझ पर एक बार दुरुद भेजे और क़बूल हो जाये तो अल्लाह तआला उसके अस्सी बरस के गुनाह मिटा देगा।

हदीस न.4 :– तिर्मिज़ी अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊ़द रदियल्लाहु तआला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम क़ियामत के दिन मुझ से सबसे ज़्यादा क़रीब वह होगा जिसने सब से ज़्यादा मुझ पर दुरूद भेजा है।

हदीस न.5 :– नसई व दारमी उन्हीं से रावी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि अल्लाह के कुछ फ़ारिग़ फ़रिश्ते हैं जो ज़मीन में सैर करते रहते हैं मेरी उम्मत का सलाम मुझ तक पहुँचाते हैं।

हदीस न.6 :– तिर्मिज़ी में उन्हीं से रावी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम उस की नाक ख़ाक में मिले जिस के सामने मेरा ज़िक्र हो और मुझ पर दुरूद न भेजे और उसकी नाक ख़ाक में मिले जिसको रमज़ान का महीना आया और उस की मग़फ़िरत से पहले चला गया और उसकी नाक ख़ाक में मिले जिसने माँ बाप या दोनों या एक को उनके बुढ़ापे में पाया और उन्होंने उस को जन्नत में दाख़िल न किया (यानी उनकी ख़िदमत व इताअ़त न की जन्नत का मुस्तहक़ हो जाता)

हदीस न.7 : – तिर्मिज़ी ने हज़रते अ़ली रदियल्लाहु तआला अ़न्हु से रिवायत की कि हुज़ूर फ़रमाते हैं पूरा बख़ील वह है जिस के सामने मेरा ज़िक्र हो और मुझ पर दुरूद न भेजे।

हदीस न.8 :– नसई व दारमी ने रिवायत की कि अबूतलहा रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक दिन हुजूर तशरीफ़ लाये और खुशी चेहरए अक़दस में नुमायाँ थी। फ़रमाया मेरे पास जिब्रील आये और कहा आप का रब फ़रमाता है कि आप राज़ी नहीं कि आप की उम्मत में जो कोई आप पर दुरूद भेजे में उस पर दस बार दुरूद भेजूँगा और आप की उम्मत में जो कोई आप पर सलाम भेजे मैं उस पर दस बार सलाम भेजूँगा।

हदीस न.9 : – तिर्मिज़ी शरीफ़ में है उबई इब्ने कअ़ब रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं मैंने अर्ज़ की या रसुलल्लाह! मैं कसरत से दुआ माँगता हूँ तो उस में हुजूर पर दुरूद के लिये कितना वक़्त मुक़र्रर करूँ। फ़रमाया जो तुम चाहो । अर्ज़ की चौथाई । फ़रमाया जो तुम चाहो और अगर ज़्यादा करो तो तुम्हारे लिये बेहतर है । मैंने अर्ज़ की निस्फ़ (आधा)फ़रमाया जो तुम चाहो और ज़्यादा करो तो तुम्हारे लिये भलाई है। मैंने अर्ज़ की,दो तिहाई। फ़रमाया जो तुम चाहो और अगर ज़्यादा करो तो तुम्हारे लिये बेहतर है। मैंने अर्ज़ की ,तो कुल दुरूद ही के लिये मुक़र्रर करूँ। फ़रमाया ऐसा है तो खुदाए पाक तुम्हारे कामों की किफ़ायत फ़रमायेगा और तुम्हारे गुनाह बख़्श देगा।

हदीस 10 : – दुर्रे मुख़्तार में अस्बहानी की रिवायत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजे और वह क़बूल हो जाये तो अल्लाह तआला उस को अस्सी बरस के गुनाह मिटा देगा।

हदीस 11 : – इमाम अहमद रुवैफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हुजूर फ़रमाते हैं जो दुरूद पढ़े और यह कहे :–

اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(तर्जमा) :– ऐ अल्लाह ! तू अपने महबूब को क़ियामत के दिन ऐसी जगह में उतार जो तेरे नज़्दीक मुक़र्रब है " तो उसके लिये मेरी शफ़ाअ़त वाजिब हो गई।

हदीस 12 : – तिर्मिज़ी ने रिवायत की कि अमीरूल मोमिनीन फ़ारुके अअ्ज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं दुआ आसमान व ज़मीन के दरमियान मुअ़ल्लक़(रुकी हुई) है चढ़ नहीं सकती जब तक नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद न भेजे।

मसअला : – उम्र में एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ना फ़र्ज़ है और हर जलसए ज़िक्र में दुरूद शरीफ़ पढ़ना वाजिब ख़्वाह खुद नामे अक़दस ले या दूसरे से सुने अगर एक मजलिस में सौ बार ज़िक्र आये तो हर बार दुरूद शरीफ़ पढ़ना चाहिये अगर नामे अक़दस लिया या सुना और दुरूद शरीफ़ उस वक़्त न पढ़ा तो किसी दूसरे वक़्त में उस के बदले का पढ़ ले। (दुर्रे मुख़्तार1–346)

मसअला :– ग्राहक को सौदा दिखाते वक़्त ताजिर का इस ग़र्ज़ से दुरूद शरीफ़ पढ़ना या सुब्हानल्लाह कहना कि उस चीज़ की उ़म्दगी ख़रीदार पर ज़ाहिर करे नाजाइज़ है। यूँही किसी बड़े को देखकर दुरूद शरीफ़ पढ़ना इस नियत से कि लोगों को उसके आने की ख़बर हो जाये उसकी ताज़ीम को उठें और जगह छोड़ दें नाजाइज़ है। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार 1–348)

मसअला : – जहाँ तक भी मुमकिन हो दुरूद शरीफ़ पढ़ना मुस्तहब है और खुसूसियत के साथ इन जगहों में 1–रोज़े जुमा 2– शबे जुमा (जुमेरात का दिन गुज़र कर रात में) 3–सुबह 4–शाम 5– मस्जिद में जाते वक़्त 6– मस्जिद से निकलते वक़्त 7–सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला

अलैहि वसल्लम के रौज़ए अतहर की ज़्यारत के वक़्त 8–सफ़ा मरवह पर 9–खुतबे में 10–अज़ान के जवाब के बाद 11–इकामत के वक़्त 12–दुआ के अव्वल आख़िर बीच में 13–दुआये कुनूत के बाद 14–हज में लब्बैक से फ़ारिग़ होने के बाद 15–इज्तेमा व फ़िराक़ (यानी इकट्ठा होने और अलग होने)के वक़्त 16–वुज़ू करते वक़्त 17–जब कोई चीज़ भूल जाये उस वक़्त। 18–वाज़ कहते वक़्त 19–और पढ़ने 20–और पढ़ाने के वक़्त ख़ुसूसन हदीस शरीफ़ पढ़ने के अव्वल आख़िर 21–सवाल 22–व फ़तवा लिखते वक़्त 23–तस्नीफ़ के वक़्त 24–निकाह 25–और मंगनी 26–और जब कोई बड़ा काम करना हो। नामे अक़दस लिखे तो दुरूद ज़रूर लिखे कि बाज़ उलमा के नज़्दीक इस वक़्त दुरूद शरीफ़ लिखना वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार 1–348)

मसअला :– अकसर लोग आज कल दुरूद शरीफ़ के बदले صلعم (सलअम) عم (अम) या ص (स्वाद का सिरा) या (ऐन का सिरा) यानी संक्षेप में लिखते हैं यह नाजाइज़ व सख़्त हराम है यूँही रदियल्लाहु तआला अन्हु की जगह ؓ रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की जगह ؒ लिखते हैं यह भी न चाहिये। जिन के नाम मुहम्मद, अहमद, अली, हसन या हुसैन वग़ैरा होते हैं उन नामों पर ص बनाते हैं यह भी मना है कि इस जगह तो यह शख़्स मुराद है इस पर दुरूद के इशारे के क्या मअ्ना (तहतावी)

मसअला :– कअ्दए अख़ीरा के अलावा फ़र्ज़ नमाज़ में दुरूद शरीफ़ पढ़ना नहीं 80.और नवाफ़िल के कअ्दए ऊला में भी मसनून है। (दुर्रेमुख़्तार) 81. दुरूद के बाद दुआ पढ़ना। (दुर्रे मुख़्तार 1–350)

मसअला :-- 82 दुआ अरबी ज़बान में पढ़े ग़ैर अरबी में मकरूह है (दुर्रे मुख़्तार 1–350)

मसअला :– अपने और अपने वालिदैन व उस्ताज़ों के लिये जबकि मुसलमान हों और तमाम मोमिनीन व मोमिनात के लिये दुआ माँगे ख़ास अपने ही लिये न माँगे। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार1–350)

मसअला :– माँ बाप और उस्ताज़ों के लिये मग़फ़िरत की दुआ हराम है जबकि काफ़िर हों और मर गये हों तो दुआए मग़फ़िरत को फ़ुक़हा ने कुफ़्र तक लिखा है। हाँ अगर ज़िन्दा हों तो उसके लिये हिदायत व तौफ़ीक़े तौबा की दुआ करे। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार 1–351)

मसअला :– मुहालाते आदिया (यानी जो आदतन मुहाल हो) व मुहालाते शरईय्या (यानी जिन्हें शरीअत ने मुहाल किया हो)उनकी दुआ हराम है। (दुर्रे मुख़्तार 1–350)

मसअला :– वह दुआयें कि कुर्आन व हदीस में हैं उन के साथ दुआ करे मगर कुर्आन की दुआयें ब –नियते कुर्आन इस मौके पर पढ़ना जाइज़ नहीं बल्कि क़ियाम के अलावा नमाज़ में किसी जगह कुर्आन पढ़ने की इजाज़त नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअल :– नमाज़ में एसी दुआयें जाइज़ नहीं जिन में ऐसे अल्फ़ाज़ हों जो आदमी एक दूसरे से करता है मसलन اَللّٰهُمَّ زَوِّجْنِیْ तर्जमा :– ऐ अल्लाह मेरी शादी कर दे। (आलमगीरी 1–71)

मसअल :– मुनासिब यह है कि नमाज़ में जो दुआ याद हो वह पढ़े और ग़ैरे नमाज़ में बेहतर यह है कि जो दुआ करे वह हिफ़्ज़ से न हो बल्कि वह जो कुलूब में हाज़िर हो यानी रटी रटाई दुआयें न माँगकर दिल से दुआयें माँगे। (रद्दुल मुहतार)

मसअल :– मुस्तहब है कि आख़िर नमाज़ में नमाज़ के अज़कार के बाद यह दुआ पढ़े : –

رَبِّ اجْعَلْنِیْ مُقِیْمَ الصَّلٰوةِ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَاءِ ،

رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ٥

तर्जमा : "ऐ परवरदिगार ! तू मुझको और मेरी जुर्रियत को नमाज़ क़ाइम करने वाला बना और ऐ रब तू मेरी दुआ कबूल फरमा ऐ रब तू मेरी और मेरे वालिदैन और ईमान वालों की कियामत के दिन मग़फिरत फरमा।" (आलमगीरी1–71)

83. मुक़तदी के तमाम इन्तिक़ालत इमाम के साथ–साथ होना। 84, 85 .अस्सलामु अ़लैकुम वरह्मतुल्लाह दो बार कहना। 86. पहले दाहिनी तरफ़ 87–फिर बायीं तरफ़। (दुर्रे मुख़्तार 1–352)

मसअ्ला :– दाहिनी तरफ़ सलाम में मुँह इतना फेरे कि दाहिना रुख़सार दिखाई दे और बायीं में बायाँ (आलमगीरी 1–71)

मसअ्ला :– अ़लैकुमुस्सलाम कहना मकरूह है। यूँही आख़िर में व बरकातुहू मिलाना भी न चाहिये।

मसअ्ला :– 88–सुन्नत यह है कि इमाम दोनों सलाम बलंद आवाज़ से कहे मगर 89–दूसरा ब–निस्बत पहले के कम आवाज़ से हो। (दुर्रे मुख़्तार 1–353)

मसअ्ला :– अगर पहले बाईं तरफ़ सलाम फेर दिया तो जब तक कलाम न किया हो दूसरा दाहिनी तरफ़ फेर ले फिर बायीं तरफ़ सलाम के लौटाने की हाजत नहीं और अगर पहले में किसी तरफ़ मुँह न फेरा तो दूसरे में बाईं तरफ़ मुँह करे और अगर बायीं तरफ़ सलाम फेरना भूल गया तो जब तक क़िब्ले को पीठ न हो या कलाम न किया हो कह ले। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी, रद्दुलमुहतार 1–352)

मसअ्ला : – इमाम ने जब सलाम फेरा तो वह मुक़तदी भी सलाम फेर दे जिस की कोई रकअ़त न गई हो अलबत्ता अगर उसने अत्तहीय्यात पूरी न की थी कि इमाम ने सलाम फेर दिया तो इमाम का साथ न दे बल्कि वाजिब है कि अत्तहीय्यात पूरी करके सलाम फेरे। (दुर्रेमुख़्तार1–352)

मसअ्ला :– इमाम के सलाम फेर देने से मुक़तदी नमाज़ से बाहर न हुआ जब तक यह खुद भी सलाम न फेरे यहाँ तक कि अगर उसने इमाम के सलाम के बाद और अपने सलाम से पहले क़हक़हा लगाया वुज़ू जाता रहेगा। (दुर्रेमुख़्तार 1–353)

मसअ्ला :– मुक़तदी को इमाम से पहले सलाम फेरना जाइज़ नहीं मगर ज़रूरत की वजह से मसलन ह़दस यानी वुज़ू टुटने का ख़ौफ़ हो या अन्देशा हो कि आफ़ताब तुलू कर आयेगा या जुमा या ईदैन में वक़्त ख़त्म हो जायेगा। (रद्दुल मुहतार 1–353)

मसअ्ल :– पहली बार लफ़्ज़े सलाम कहते ही इमाम नमाज़ से बाहर हो गया अगर्चे अ़लैकुम न कहा हो उस वक़्त अगर कोई शरीके जमाअ़त हुआ तो इक़्तिदा सही न हुई हाँ अगर सलाम के बाद सजदए सहव किया तो इक़्तिदा सही हो गई। (रद्दुल मुहतार 1–352)

मसअ्ला :– इमाम दाहिने सलाम से ख़िताब से उन मुक़तदियों की नियत करे जो दाहिनी तरफ़ हैं और बाइें से बाईं तरफ़ वालों की मगर औ़रत की नियत न करे अगर्चे शरीके जमाअ़त हो नीज़ दोनों सलामों में किरामन कातिबीन(किरामन कातिबीन उन फ़रिश्तों के नाम हैं जो हर शख़्स के कंधे पर मुक़र्रर उसकी नेकियों और बुराईयों को लिखते हैं) और उन मलाइका की नियत करे जिन को अल्लाह तआ़ला ने हिफ़ाज़त के लिये मुक़र्रर किया और नियत में कोई अ़दद मुअ़य्यन न करे।(दुर्रेमुख़्तार 1–354)

मसअ्ला :– मुक़तदी भी हर तरफ़ के सलाम में उस तरफ़ वाले मुक़तदियों और उन मलाइका की

नियत करे नीज़ जिस तरफ़ इमाम हो उस तरफ़ के सलाम में इमाम की भी नियत करे और इमाम उसके मुहाज़ी (सामने)हो तो दोनों सलामों में इमाम की भी नियत करे और मुनफ़रिद सिर्फ़ उन फ़रिश्तों ही की नियत करे। (दुर्रेमुख़्तार 1-356)

मसअला :- 90-सलाम के बाद सुन्नत यह है कि इमाम दाहिने बायें को इन्हिराफ़ करे (फिर जाये) और दाहिनी तरफ़ अफ़ज़ल है और मुक़तदियों की तरफ़ भी मुँह करके बैठ सकता है जबकि कोई मुक़तदी उसके सामने नमाज़ में न हो अगर्चे किसी पिछली सफ़ में वह नमाज़ पढ़ता हो।(रद्दुलमुहतार1-367)

मसअला :- मुनफ़रिद बग़ैर इन्हिराफ़(बग़ैर फिरे हुए) अगर वहीं दुआ माँगे तो जाइज़ है।(आलमगीरी)

मसअला :- ज़ोहर व मग़रिब व इशा के बाद मुख़्तसर दुआयें करके सुन्नत पढ़े ज़्यादा तवील दुआ में मशग़ूल न हो। (आलमगीरी 1-72)

मसअला :- फ़ज्र व अस्र के बाद इख़्तियार है जिस क़द्र अज़कार व दुआयें पढ़ना चाहे पढ़े मगर मुक़तदी अगर इमाम के साथ दुआ में मशग़ूल हों और ख़त्म के इन्तिज़ार में हों तो इमाम इस क़द्र तवील दुआ न करे कि घबरा जायें। (फ़तावा रज़विया)

मसअला :- सुन्नतें वहीं न पढ़े बल्कि दाहिने बायें आगे पीछे हटकर पढ़े या घर जाकरपढ़े।(आलमगीरी,1-72)

मसअला :- जिन फ़र्ज़ों के बाद सुन्नतें हैं उन में बादे फ़र्ज़ कलाम न करना चाहिये अगर्चे सुन्नतें हो जायेंगी मगर सवाब कम होगा और सुन्नतों में ताख़ीर भी मकरूह है। यूँही बड़े बड़े वज़ाइफ़ की भी इजाज़त नहीं। (गुनिया, 331 रद्दुल मुहतार)

मसअला :- अफ़ज़ल यह है कि नमाज़े फ़ज्र के बाद बलन्दिये आफ़ताब तक वहीं बैठा रहे।(आलमगीरी)

मुस्तहब्बाते नमाज़

1. हालते क़ियाम में सजदे की जगह पर नज़र करना। 2. रुकू में पुश्ते क़दम की तरफ़ 3. सजदे में नाक की तरफ़। 4. क़अ्दे में गोद की तरफ़। 5. पहले सलाम में दाहिने शाने की तरफ़। 6. दूसरे में बायें की तरफ़ 7. जमाही आये तो मुँह बन्द किये रहना और न रुके तो होंट दाँत के नीचे दबायें और इससे भी न रुके तो क़ियाम में दाहिने हाथ की पुश्त से मुँह ढाँक ले और ग़ैर क़ियाम में बाएं हाथ की पुश्त से या दोनों में आस्तीन से और बिला ज़रूरत हाथ या कपड़े से मुँह ढाँकना मकरुह है ,जमाही रोकने का मुजर्रब तरीक़ा यह है कि दिल में ख़्याल करे कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को जमाही नहीं आती थी। 8. मर्द के लिये तकबीरे तहरीमा के वक़्त हाथ कपड़े से बाहर निकालना। 9. औरत के लिए कपड़े के अन्दर बेहतर है। 10 जहाँ तक मुमकिन हो खाँसी रोकना। 11.जब मुकब्बिर حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ कहे तो इमाम मुक़तदी सब का खड़ा हो जाना 12. जब मुकब्बिर قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ कह ले तो नमाज़ शुरू कर सकता है मगर बेहतर है कि इक़ामत पूरी होने पर शुरू करे। 13. दोनों पंजो के दरमियान क़ियाम में चार उंगल का फ़ासला होना। 14. मुक़तदी को इमाम के साथ शुरू करना। 15. सजदा ज़मीन पर बिला हाइल होना यानी मुसल्ला वग़ैरा कोई चीज़ सर और ज़मीन के बीच में न हो।

नमाज़ के बाद के ज़िक्र व दुआ

नमाज़ के बाद ज़िक्र वग़ैरा करने के बारे में जो लम्बी लम्बी दुआयें अहादीस में आई हैं वह ज़ोहर व मग़रिब व इशा में सुन्नतों के बाद पढ़ी जायें, सुन्नत से पहले मुख़्तसर दुआ ही माँगना चाहिये वर्ना सुन्नतों का सवाब कम हो जायेगा। (रद्दुल मुहतार)

तम्बीह :— अहादीस में किसी दुआ की निस्बत जो तादाद आई है उससे कम ज़्यादा न करे कि जो फ़ज़ाइल उन अज़कार(ज़िक्र की जमा)के लिये हैं वह उसी अदद के साथ मख़्सूस हैं उन में कम ज़्यादा करने की मिसाल यह है कि कोई कुफ़्ल(ताला) किसी ख़ास क़िस्म की कुंजी से खुलता है अब अगर कुंजी में दंदाने कम या ज़ाइद कर दें तो उससे न खुलेगा। अलबत्ता अगर शुमार में शक हो जाये तो ज़्यादा कर सकता है और यह ज़्यादत नहीं बल्कि इतमाम है यानी यह पूरा करने के लिए ही है। (रद्दुल मुहतार 1—स.356)

हर नमाज़ के बाद तीन बार इस्तिग़फ़ार करे और आयतुलकुर्सी तीनों कुल यानी सुरए इख़्लास, सूरए फ़लक़ नास एक एक बार पढ़े। सुब्हानल्लाह 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार अल्लाहु अकबर 34 बार फिर उसके बाद नीचे लिखी आयात एक बार पढ़े तो उसके गुनाह बख़्श दिये जायेंगें अगर्चे समुंदर के झाग के बराबर हों।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ط

और अस्र व फ़ज्र के बाद बग़ैर पाँव बदले बग़ैर कलाम किये दस दस बार यह पढ़े :—

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِیْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ط

तर्जमा :— " अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं वह तन्हा है उसका कोई शरीक नहीं उसी के लिए मुल्क व हम्द है उसी के हाथ में ख़ैर है वह ज़िन्दा करता है और मौत देता है और वह हर शय पर क़ादिर है"। हर नमाज़ के बाद पेशानी यानी सर के अगले हिस्से पर हाथ रख कर पढ़े हाथ खींचकर माथे तक लाये। दुआ यह है : —

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنِّی الْهَمَّ وَالْحُزْنَ.

तर्जमा :— " अल्लाह के नाम की बरकत से कि उसके सिवा कोई मअ्बूद नहीं वह रहमान व रहीम है ऐ अल्लाह। तू मुझसे रंज व ग़म दूर कर दे।

हदीस न.1 :— अबू दाऊद अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं नमाज़े फ़ज्र के बाद तुलूए आफ़ताब तक और अस्र के बाद ग़ुरूब तक ज़िक्र करना इस से बेहतर है कि चार—चार ग़ुलाम बनी इस्माईल से आज़ाद किये जायें।

हदीस न.2 :— तिर्मिज़ी उन्हीं से रावी इरशाद हुआ कि फ़ज्र की नमाज़ जमाअ़त से पढ़कर आफ़ताब निकलने तक ज़िक्र करे फिर बादे बलंदीए आफ़ताब दो रकअ़त नमाज़ पढ़े तो ऐसा है जैसे

हज व उमरह किया पूरा पूरा।

हदीस न. 3 बुखारी व मुस्लिम वगैराहुमा मुगीरा इब्ने शोबा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम हर नमाज़े फ़र्ज़ के बाद यह दुआ पढ़ते –

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَ لَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَ لَا رَآدَّ لِمَا قَضَيْتَ وَ لَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ .

तर्जमा : " अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं वह तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं और वह हर शय पर कादिर है। ऐ अल्लाह जिसे तू अ़ता करे उसे कोई रोकने वाला नहीं और जिसे तू रोके उसे कोई देने वाला नहीं और तेरी कज़ा का कोई फेरने वाला नहीं और तेरे अज़ाब से मालदार को उसका माल नफा नहीं देता।

हदीस न.4 :– सही मुस्लिम में अ़ब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि हुजूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम सलाम फेर कर बलंद आवाज़ से यह दुआ पढ़ते –

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ لَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

तर्जमा :– " अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं, वह तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए मुल्क व हम्द है और वह हर शय पर कादिर है। गुनाह से बाज़ रहने और नेकी की ताकत अल्लाह ही से है अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं हम उसी की इबादत करते हैं उसी के लिए नेअ़मत व फ़ज़्ल है और उसी के लिए अच्छी तारीफ है अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं हम उसी के लिए दीन को ख़ालिस करते हैं अगर्चे काफ़िर बुरा मानें"।

हदीस न.5 : – सही बुखारी व मुस्लिम में मरवी कि फुकराए मुहाजिरीन (गरीब मुहाजिरीन)हाज़िरे ख़िदमते अक्दस हुए और अ़र्ज़ की मालदारों ने बड़े–बड़े दर्जे और ला–ज़वाल नेमत हासिल कीं। इरशाद फ़रमाया क्या सबब? लोगों ने अ़र्ज़ की जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं वह भी पढ़ते है और जैसे हम रोज़ा रखते हैं वह भी रखते हैं और वह सदका करते हैं और गुलाम आज़ाद करते हैं हम नहीं कर सकते। इरशाद फ़रमाया क्या तुम्हें ऐसी बात न सिखा दूँ जिससे उन लोगों को पालो जो तुम आगे बढ़ गये और बाद वालों पर सबकत ले जाओ और तुम से कोई अफ़ज़ल न हो मगर वह तुम्हारी तरह करें। लोगों ने अ़र्ज़ की हाँ या रसूलल्लाह! इरशाद फ़रमाया कि हर नमाज़ के बाद 33–33बार 'सुब्हानल्लाह' 'अल्लाहु अकबर' और 'अल्हम्दुलिल्लाह' कह लिया करो। अबू सालेह कहते हैं कि फिर फुकराये मुहाजिरीन हाज़िर हुये और अ़र्ज़ की हम ने जो किया उस को हमारे भाई मालदारों ने सुना तो उन्होंने भी वैसा ही किया। इरशाद फ़रमाया यह अल्लाह का फ़ज़्ल है जिसे चाहता है देता है। अबू सालेह का कलाम सिर्फ़ मुस्लिम में है।

हदीस न.6 : – सही मुस्लिम में कअ़ब इब्ने अजरह रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि इरशाद

फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम कुछ अज़कार नमाज़ के बाद हैं जिनका कहने वाला नामुराद नहीं रहता। हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद सुब्हानल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाहु अकबर 34 बार,।

हदीस न.7 : – सही मुस्लिम में है अबू हूरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम जो हर नमाज़ के बाद 33 बार सुब्हानल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाहु अकबर कहे यह कुल निन्यान्वे हुए और यह कलिमा कहकर सौ पूरे करे :– لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحۡدَہٗ لَا شَرِیۡکَ لَہٗ لَہُ الۡمُلۡکُ وَلَہُ الۡحَمۡدُ وَ ھُوَ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرٌ

तो उस की तमाम ख़तायें बख़्श दी जायेंगी अगर्चे दरया के झाग की मिस्ल हों।

हदीस न.8 :– बैहक़ी शोबुल ईमान में रावी कि हज़रते अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु फ़रमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को इसी मिम्बर पर फ़रमाते सुना जो हर नमाज़ के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ ले उसे जन्नत में जाने से कोई चीज़ मानेअ़ (रोकने वाली) नहीं सिवा मौत के यानी मरते ही जन्नत में चला जाये और लेटते वक़्त जो इसे पढ़े अल्लाह तआ़ला उसे और उस के पड़ोसी के घर को और आस पास के घर वालों को शैतान और चोर से अमन देगा।

हदीस न.9 : – इमाम अहमद अ़ब्दुर्रहमान इब्ने ग़नम से और तिर्मिज़ी अबूज़र रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मग़रिब और सुबह के बाद बग़ैर जगह बदले और पाँव मोड़े दस बार जो यह पढ़ ले :–

لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحۡدَہٗ لَا شَرِیۡکَ لَہٗ لَہُ الۡمُلۡکُ وَلَہُ الۡحَمۡدُ
بِیَدِہِ الۡخَیۡرُ یُحۡیِیۡ وَ یُمِیۡتُ وَ ھُوَ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرٌ

उस के लिये हर एक के बदले दस नेकियाँ लिखी जायेंगी और दस गुनाह मिटाये जायेंगे और दस दर्जे बलन्द किये जायेंगे और यह दुआ़ उसके लिये हर बुराई और शैताने रजीम से हिफ़ाज़त करती है और किसी गुनाह को हलाल नहीं कि उसे पहुँचे सिवा शिर्क के और वह सब से अ़मल में अच्छा है मगर वह जो उस से अफ़ज़ल कहे तो यह बढ़ जायेगा। दूसरी रिवायत में फ़ज्र व अ़स्र आया है और हनफ़िया के मज़हब से ज़्यादा मुनासिब यही है।

हदीस न.10 :– इमाम अहमद अबू दाऊद व नसई रिवायत करते हैं कि मआ़ज़ इब्ने जबल रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु कहते हैं कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम मेरा हाथ पकड़ कर इरशाद फ़रमाते ऐ मआ़ज़!मैं तुझे महबूब रखता हूँ फ़रमाया तू हर नमाज़ के बाद इसे कह लेना छोड़ना नहीं :–

رَبِّ اَعِنِّیۡ عَلٰی ذِکۡرِکَ وَ شُکۡرِکَ وَ حُسۡنِ عِبَادَتِکَ

तर्जमा :– "ऐ परवरदिगार! तू अपने ज़िक्र व शुक्र और हुस्ने इबादत पर मेरी मदद फ़रमा"।

हदीस न.11 :– तिर्मिज़ी अमीरुल मोमिनीन उ़मर इब्ने ख़त्ताब रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर ने नज्द की जानिब एक लश्कर भेजा वह जल्द वापस हुआ और ग़नीमत बहुत लाया। एक साहब ने कहा इस लश्कर से बढ़कर हमने कोई लश्कर नहीं देखा जो जल्द वापस हुआ हो और ग़नीमत ज़्यादा लाया हो। इस पर नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि

क्या वह क़ौम बता दूँ जो ग़नीमत और वापसी में इन से बढ़कर है जो लोग सुबह में हाज़िर हुये फिर बैठे अल्लाह का ज़िक्र करते रहे यहाँ तक कि आफ़ताब तुलू कर आये वह जल्द वापस होने वाले और ज़्यादा ग़नीमत वाले हैं।

क़ुर्आन मजीद पढ़ने का बयान

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है :–

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ۔

तर्जमा : "क़ुर्आन से जो मयस्सर आये पढ़ो।" और फ़रमाता है:–

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ۝(پ۹،ع۱۴)

तर्जमा :– "जब क़ुर्आन पढ़ा जाये तो उसे सुनो और चुप रहो इस उम्मीद पर कि रहम किये जाओ"।

हदीस न.1 ता 3 :– इमाम बुख़ारी व मुस्लिम ने उ़बादा इब्ने सामित रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं जिसने सूरए फ़ातिहा न पढ़ी उसकी नमाज़ नहीं यानी नमाज़ कामिल नहीं चुनाँचे दूसरी रिवायत सही मुस्लिम शरीफ़ में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है–"वह नमाज़ नाक़िस है "यह हुक्म उस के लिये है जो इमाम हो या तन्हा पढ़ता हो और मुक़तदी को खुद पढ़ना नहीं बल्कि इमाम की क़िरात उसकी क़िरात है कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो इमाम के पीछे हो तो इमाम की क़िरात उसकी क़िरात है इस हदीस को इमाम मुहम्मद और तिर्मिज़ी व हाकिम ने जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत किया और इसी के मिस्ल इमाम अहमद ने अपनी मुसनद में रिवायत की इमाम हलबी ने फ़रमाया कि यह हदीस बुख़ारी व मुस्लिम की शर्त पर सही है।

हदीस न.4 ता 6 :– इमाम अबू जाफ़र शरहे मआ़निल आसार में रिवायत करते हैं कि हज़रते अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर व ज़ैद इब्ने साबित व जाबिर इब्ने अ़ब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम से सवाल हुआ तो इन सब हज़रात ने फ़रमाया इमाम के पीछे किसी नमाज़ में क़िरात न कर।

हदीस न.7 :– इमाम मुहम्मद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से इमाम के पीछे क़िरात के बारे में सवाल हुआ फ़रमाया ख़ामोश रह कि नमाज़ में शुग़्ल है और इमाम की क़िरात तुझे काफ़ी है।

हदीस न.8 :– सअ़्द इब्ने अबी वक़्क़ास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने फ़रमाया मैं दोस्त रखता हूँ यानी यह बात पसन्द करता हूँ कि जो इमाम के पीछे क़िरात करे उस के मुँह में अंगारा हो।

हदीस न.9 :– अमीरुल मोमिनीन उ़मर फ़ारूक़े आज़म रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु फ़रमाते हैं तो इमाम के पीछे क़िरात करता है काश उसके मुँह में पत्थर हों।

हदीस न.10 :– हज़रते अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मनक़ूल है कि फ़रमाया जिसने इमाम के पीछे क़िरात की उसने फ़ितरत से ख़ता की।

अहकामे फ़िक़हिय्या :– यह तो पहले मालूम हो चुका है कि क़िरात में इतनी आवाज़ ज़रूरी है

कि अगर कोई रोक मसलन ऊँचा सुनने वाला और शोर गुल न हो तो खुद सुन सके अगर इतनी आवाज़ भी न हो तो नमाज़ न होगी। इसी तरह जिन मुआमलात में आवाज़ का एअ्तिबार है सब में इतनी आवाज़ ज़रूरी है मसलन जानवर ज़िबह करते वक़्त बिस्मिल्लाह कहना, तलाक़ देना, इताक़ यानी गुलाम आज़ाद करना,इस्तिस्ना यानी कुछ अलग करना,आयते सजदा पढ़ने पर सजदए तिलावत वाजिब होना।

मसअ्ला :– 7 फ़ज्र व मग़रिब व इशा की दो पहली में और जुमा व ईदैन व तरावीह और वित्रे रमज़ान कि इन सब में इमाम पर जहर (आवाज़ से पढ़ना)वाजिब है और मग़रिब की तीसरी और इशा की तीसरी चौथी या ज़ोहर व अस्र की तमाम रकअ्तों में आहिस्ता पढ़ना वाजिब है।(दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– जहर के यह मअ्ना हैं कि दूसरे लोग यअ्नी वह कि सफ़े अव्वल में है सुन सके यह अदना दर्जा है और अअ्ला के लिए कोई हद मुक़र्रर नहीं और आहिस्ता यह कि खुद सुन सके(आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– इस तरह पढ़ना कि फ़क़त दो एक आदमी जो उस के क़रीब हैं सुन सकें जहर नहीं बल्कि आहिस्ता है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– हाजत से ज़्यादा इस क़द्र बुलन्द आवाज़ से पढ़ना कि अपने या दूसरे के लिए तकलीफ़ की वजह हो मकरूह है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– आहिस्ता पढ़ रहा था कि दूसरा शख़्स शामिल हो गया तो जो बाक़ी है उसे जहर से पढ़े और जो पढ़ चुका है उसका लौटाना ज़रूरी नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– एक बड़ी आयत जैसे आयतल कुर्सी या आयते मदाइना(तीसरे पारे की सातवें रुकू वाली आयते करीमा जो पूरी एक सफ़हे की है)अगर एक रकअ्त में उसमें का बाज़ पढ़ा और दूसरी में बाज़ तो जाइज़ है जबकि हर रकअ्त में जितना पढ़ा बक़द्रे तीन आयत के हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– दिन के नवाफ़िल में आहिस्ता पढ़ना वाजिब है और रात के नवाफ़िल में इख़्तियार है अगर तन्हा पढ़े और जमाअ्त से रात के नफ़्ल पढ़े तो जहर वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जहरी नमाज़ों में मुनफ़रिद को इख़्तियार है और अफ़ज़ल जहर है जबकि अदा पढ़े और जब क़ज़ा है तो आहिस्ता पढ़ना वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जहरी की क़ज़ा अगर्चे दिन में हो इमाम पर जहर वाजिब है और सिर्री की क़ज़ा में आहिस्ता पढ़ना वाजिब है अगर्चे रात में अदा करे। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– चार रकअ्ती फ़र्ज़ की पहली दोनों रकअ्तों में सूरत भूल गया तो पिछली रकअ्तों में पढ़ना वाजिब है और एक में भूल गया तो तीसरी या चौथी में पढ़े और मग़रिब की पहली दोनों में भूल गया तो तीसरी में पढ़े और एक रकअ्त की क़िराते सूरत जाती रही और इन सब सूरतों में फ़ातिहा के साथ पढ़े जहरी नमाज़ हो तो फ़ातिहा व सूरत जहरन पढ़े वरना आहिस्ता और सब सूरतों में सजदए सहव करे और क़स्दन छोड़ी तो नमाज़ लौटाये। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– सूरत मिलाना भूल गया रुकू में याद आया तो खड़ा हो जाये और सूरत मिलाये फिर रुकू करे और आख़िर में सजदए सहव करे अगर दोबारा रुकू न करेगा तो नमाज़ न होगी।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– फ़र्ज़ की पहली रकअ़तों में फ़ातिहा भूल गया तो पिछली रकअ़तों में उसकी कज़ा नहीं और रुकू से पहले याद आया तो क़ियाम की तरफ़ लौटे और फ़ातिहा व सूरत पढ़े फ़िर रुकू करे अगर दोबारा रुकू न करेगा नमाज़ न होगी। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– एक आयत का हिफ़्ज़ (याद) करना हर मुसलमान मुकल्लफ़ पर फ़र्ज़े ऐन है और पूरे कुर्आन मजीद का हिफ़्ज़ करना फ़र्ज़े किफ़ाया और सूरए फ़ातिहा और दूसरी छोटी सूरत इस के मिस्ल मसलन तीन छोटी आयतें या एक बड़ी आयत का हिफ़्ज़ वाजिबे ऐन है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– बक़द्रे ज़रूरत मसाइले फ़िक़्ह का जानना फ़र्ज़े ऐन है और हाजत से ज़ाइद सीखना कुर्आन के हिफ़्ज़ करने से अफ़ज़ल है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– सफ़र में अगर अमन व क़रार हो तो सुन्नत यह है कि फ़ज्र व ज़ोहर में सूरए बुरूज या इसके मिस्ल सूरतें पढ़े और अस्र व इशा में इससे छोटी और मग़रिब में क़िसारे मुफ़स्सल यानी सूरए لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ से सूरए नास तक की छोटी सूरतें पढ़ना अफ़ज़ल है और जल्दी हो तो हर नमाज़ में जो चाहे पढ़े। (आलमगीरी)

मसअला :– इज़्तिरारी (बेचैनी या बेक़रारी)की हालत में मसलन वक़्त जाते रहने या दुश्मन या चोर का ख़ौफ़ हो तो बक़द्रे हाल यानी मौके के मुताबिक़ पढ़े ख़्वाह सफ़र में हो या हज़र में यहाँ तक कि अगर वाजिबात की रिआयत नहीं कर सकता तो इसकी भी इजाज़त है मसलन फ़ज्र का वक़्त इतना तंग है कि सिर्फ़ एक आयत पढ़ सकता है तो यही करे। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुल मुहतार)मगर बादे बलन्दीए आफ़ताब इस नमाज़ को लौटाये।

मसअला :– सुन्नते फ़ज्र में जमाअ़त जाने का ख़ौफ़ हो तो सिर्फ़ वाजिबात पर इख़्तिसार करे सना व तअ़व्वुज़ को तर्क करे और रुकू सुजूद में एक–एक बार तस्बीह पर इकतेफ़ा करे।(रद्दुल मुहतार)

मसअला :– हज़र में जबकि वक़्त तंग न हो तो सुन्नत यह है कि फ़ज्र व ज़ोहर में तिवाले मुफ़स्सल पढ़े और अस्र व इशा में औसाते मुफ़स्सल और मग़रिब में क़िसारे मुफ़स्सल और इन सब सूरतों में इमाम व मुनफ़रिद दोनों का एक ही हुक्म है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

फ़ाइदा :– सूरए हुजरात से आख़िर तक कुर्आन मजीद की सूरतों को मुफ़स्सल कहते हैं। उसके यह तीन हिस्से हैं सूरए हुजुरात से बुरूज तक तिवाले मुफ़स्सल और सूरए बुरूज से सूरए لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ तक औसाते मुफ़स्सल और सुरए لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ से आख़िर तक क़िसारे मुफ़स्सल

मसअला : – अस्र की नमाज़ वक़्ते मकरूह में अदा करे जब भी बेहतर यह है कि क़िराते मसनूना को पूरा करे जबकि वक़्त में तंगी न हो। (आलमगीरी)

मसअला :– वित्र में नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने पहली रकअ़त में سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى दूसरी में قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ और तीसरी में قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ पढ़ी है ,लिहाज़ा कभी तबर्रुकन इन्हें पढ़े।

मसअला :– क़िरात मसनूना पर ज़्यादत न करे जबकि मुक़तदियों पर गिराँ हो और शाक़ न हो तो ज़्यादते क़लीला में हरज नहीं। (आलमगीरी ,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– फ़र्ज़ में ठहर–ठहर कर क़िरात करे और तरावीह में मुतवस्सित अन्दाज़ पर और रात के नवाफ़िल में जल्द पढ़ने की इजाज़त है मगर ऐसा पढ़े कि समझ में आ सके यानी कम से कम मद का जो दर्जा क़ारियों ने रखा है उसको अदा करे वरना हराम है इसलिये कि तरतील से कुर्आन पढ़ने का हुक्म है। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)आजकल के अकसर हाफ़िज इस तरह पढ़ते हैं कि मद का अदा होना तो बड़ी बात है يَعْلَمُوْنَ تَعْلَمُوْنَ के सिवा किसी भी लफ़्ज़ का पता भी नहीं चलता न सही हुरूफ़ अदा करते हैं बल्कि जल्दी में लफ़्ज़ के लफ़्ज़ खा जाते है और इस पर फ़ख़्र होता है कि फ़लाँ इस क़द्र जल्दी पढ़ता है हालाँकि इस तरह कुर्आन मजीद पढ़ना हराम व सख़्त हराम है।

मसअ्ला :– सातों क़िरातें जाइज़ हैं मगर ज़्यादा अच्छा यह है कि अ़वाम जिसे न जानते हों वह न पढ़े कि उस में उनके दीन की हिफ़ाज़त है जैसे हमारे यहाँ क़िराते इमाम आ़सिम व रिवायते हफ़्स राइज़ है लिहाज़ा यही पढ़े (दुर्रेमुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– फ़र्ज़ की पहली रकअ़त को ब निस्बत दूसरी के दराज़ करना मसनून है और उसकी मिक़दार यह रखी गई है कि पहली में दो तिहाई दूसरी में एक तिहाई (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– अगर फ़र्ज़ की पहली रकअ़त में तूले फ़ाहिश किया मसलन पहली में चालीस आयतें दूसरी में तीन तो भी मुज़ाएका नहीं मगर बेहतर नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– बेहतर यह है कि और नमाज़ों में भी पहली रकअ़त की क़िरात दूसरी से क़द्रे ज़्यादा हो यही हुक्म जुमे व ईदैन का भी है (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– सुनन व नवाफ़िल में दोनों रकअ़तों में बराबर की सूरतें पढ़े (मुनया)

मसअ्ला :– दुसरी रकअ़त की क़िरात पहली से तवील करना मकरूह है जबकि बय्यिन (खुला हुआ)फ़र्क़ मालूम होता हो और इसकी मिक़दार यह है कि अगर दोनों सूरतों की आयतें बराबर हों तो तीन आयत की ज़्यादती से कराहत है और छोटी बड़ी हों तो आयतों की तादाद का एअ्तिबार नहीं बल्कि हुरूफ़ व कलिमात का एअ्तिबार है अगर कलिमात व हुरूफ़ में बहुत तफ़ावुत (फ़र्क़)हो *अगर्चे आयतें गिनती में बराबर हों मसलन पहली में أَلَمْ نَشْرَحْ पढ़ी और दूसरी में لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ तो कराहत है अगर्चे दोनों में आठ आठ आयतें हैं। (दुर्रेमुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला – जुमे व ईदैन की पहली रकअ़त में سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى दूसरी में هَلْ اَتٰكَ पढ़ना सुन्नत है कि नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से साबित है यह उस क़ादे से मुसतस्ना(अलग)है(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– सूरतों का मुअ़य्यन कर लेना कि उस नमाज़ में हमेशा वही सूरत पढ़ा करे मकरूह है मगर जो सूरतें अहादीस में वारिद हैं उनको कभी कभी पढ़ लेना मुस्तहब है मगर मुदावमत (हमेशगी)न करे कि कोई वाजिब न गुमान करे (दुर्रेमुख़्तार रद्दुल मुहतार जि. 1 स. 365)

मसअ्ला :– फ़र्ज़ नमाज़ में आयते तरग़ीब (जिस में सवाब का बयान है) व तरहीब (जिस में अ़ज़ाब का ज़िक्र है)पढ़े तो मुक़तदी व इमाम उसके मिलने और उस से बचने की दुआ़ न करे नवाफ़िल बाजमाअ़त का भी यही हुक्म है हाँ नफ़्ल तन्हा पढ़ता हो तो दुआ़ कर सकता है।(रद्दुल मुहतार जि.1 स.366)

मसअ्ला :– दोनों रकअ़तों में एक ही सूरत की तकरार मकरूहे तन्ज़ीही है जबकि कोई मजबूरी न

हो और मजबूरी हो तो बिल्कुल कराहत नहीं मसलन पहली रकअ़त में पूरी قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ पढ़ी तो अब दूसरी में भी यही पढ़े यानी बिना इरादे के वही पहली सूरत शुरू कर दी या दूसरी सूरत याद नहीं आती तो वही पहली पढ़े (रद्दुल मुह़तार जि. 1 स. 367)

मसअ्ला :– नवाफ़िल की दोनों रकअ़तों में एक ही सूरत को मुकर्रर (बार–बार)पढ़ना या एक रकअ़त में उसी सूरत को बार बार पढ़ना बिला कराहत जाइज़ है (गुनिया स. 462)

मसअ्ला :– एक रकअ़त में पूरा क़ुर्आन मजीद ख़त्म कर लिया तो दूसरी में फ़ातिह़ा के बाद'अलिफ़ लाम मीम' से शुरू करे (आलमगीरी जि. 1 स. 74)

मसअ्ला :– फ़राइज़ की पहली रकअ़त में चन्द आयतें पढ़ीं और दूसरी में दूसरी जगह से चन्द आयतें पढ़ीं अगर्चे उसी सूरत की हों तो अगर दरमियान में दो या ज़्यादा आयतें रह गईं तो ह़रज नहीं मगर बिला ज़रूरत ऐसा न करे और अगर एक ही रकअ़त में चन्द आयतें पढ़ीं फिर कुछ छोड़ कर दूसरी जगह से पढ़ा तो मकरूह है और भूल कर ऐसा हुआ तो लौटे और छूटी हुई आयतें पढ़े (रद्दुल मुह़तार जि. 1 स. 367)

मसअ्ला :– पहली रकअ़त में किसी सूरत का आख़िर पढ़ा और दूसरी में कोई छोटी सूरत मसलन पहली में اَفَحَسِبْتُمْ और दूसरी में قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ तो ह़रज नहीं (आलमगीरी जि 1 स. 74)

मसअ्ला :– फ़र्ज़ की एक रकअ़त में दो सूरत न पढ़े और मुनफ़रिद पढ़ ले तो ह़रज भी नहीं ब–शर्ते कि उन दोनों सूरतों में फ़ासिला न हो और अगर बीच में एक या चन्द सूरतें छोड़ दीं तो मकरूह है। (रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला :– पहली रकअ़त में कोई सूरत पढ़ी दूसरी में एक छोटी सूरत दरमियान से छोड़ कर पढ़ी तो मकरूह है और अगर वह दरमियान की सूरत बड़ी है कि उसको पढ़े तो दूसरी की क़िरात तवील हो जायेगी तो ह़रज नही जैसे "وَالتِّيْنِ" के बाद "اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ" पढ़ने में ह़रज नहीं और اِذَا جَآءَ के बाद قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ पढ़ना न चाहिये (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 स. 367)

मसअ्ला :– क़ुर्आन मजीद उलटा पढ़ना कि दूसरी रकअ़त में पहली वाली से ऊपर की सूरत पढ़े यह मकरूहे तह़रीमी है मसलन पहली قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ पढ़ी और दूसरी में اَلَمْ تَرَ كَيْفَ (दुर्रेमुख़्तार) इस के लिये सख़्त वईद आई है अ़ब्दुल्लाह़ इब्ने उ़मर रदियल्लाहु ताअ़ाला अ़न्हु फ़रमाते हैं जो क़ुर्आन मजीद उलट कर पढ़ता है क्या ख़ौफ़ नहीं करता कि अल्लाह उसका दिल उलट दे भूल कर हो तो न गुनाह न सजदए सहव।

मसअ्ला :– बच्चों की आसानी के लिए 'अ़म म पारा ख़िलाफ़े तरतीबे क़ुर्आन मजीद पढ़ना जाइज़ है

मसअ्ला :– भूल कर दूसरी रकअ़त में ऊपर की सूरत शुरू कर दी या एक छोटी सूरत का फ़ासिला हो गया फिर याद आया तो जो शुरू कर चुका है उसी को पूरा करे अगर्चे अभी एक ही ह़र्फ़ पढ़ा हो मसलन पहली में पढ़ने की قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ और दूसरी में اَلَمْ تَرَ كَيْفَ या اِذَا جَآءَ छोड़ कर تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ शुरू कर दी अब याद आने पर उसी को ख़त्म करे।(दुर्रे मुख़्तार 1–367)

मसअ्ला :– ब निसबत एक बड़ी आयत के तीन छोटी आयतों का पढ़ना अफ़ज़ल है जुज़वे सूरत यानी सूरत का कुछ ह़िस्सा और पूरी सूरत में अफ़ज़ल वह है कि जिसमें ज़्यादा आयतें हों।

मसअला :– रुकू के लिये तकबीर कही मगर अभी रुकू में न गया था यानी घुटनों तक हाथ पहुँचने के क़ाबिल न झुका था कि और ज़्यादा पढ़ने का इरादा हुआ तो पढ़ सकता है कुछ हरज नहीं(आलमगीरी)

नमाज़ के बाहर क़ुर्आन पढ़ने के मसाइल

मसअला :– क़ुर्आन मजीद देखकर पढ़ना ज़ुबानी पढ़ने से अफ़ज़ल है कि यह पढ़ना भी है और देखना भी और हाथ से उसका छूना भी और यह सब इबादत हैं।

मसअला :– मुस्तहब यह है कि बा–वुज़ू क़िब्ला–रू अच्छे कपड़े पहनकर तिलावत करे और शुरू तिलावत में अऊज़ू पढ़ना वाजिब है और शुरू सूरत में बिस्मिल्लाह सुन्नत है और अगर सूरत के दरमियान से पढ़े तो बिस्मिल्लाह मुस्तहब है और अगर जो आयत पढ़ना चाहता है उसके शुरू में ज़मीर मौला तआला की तरफ़ लौटती है जैसे :–

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ तो इस सूरत में अऊज़ु के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है दरमियान में कोई दुनयावी काम करे तो अऊज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह फिर पढ़ ले और दीनी काम किया मसलन सलाम या अज़ान का जवाब दिया या सुब्हानल्लाह और कलिमए तय्यबा वग़ैरा अज़कार पढ़े अऊज़ु बिल्लाह फिर पढ़ना उस के ज़िम्मे नहीं। (ग़ुनिया वग़ैरा स 436)

मसअला :– सूरए बराअत से अगर तिलावत शुरू की तो अऊज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह कह ले और जो उसके पहले से तिलावत शुरू की और सूरए बराअत आ गई तो तसमीया(यानी बिस्मिल्लाह शरीफ़)पढ़ने की हाजत नहीं (ग़ुनिया) और उसके शुरू में नया तअव्वुज़ जो आजकल के हाफ़िज़ों ने निकाला है बेअस्ल है और यह जो मशहूर है कि सूरए तौबा इब्तेदाअन भी पढ़े जब भी बिस्मिल्लाह न पढ़े यह महज़ ग़लत है।

मसअला :– गर्मियों में सुबह को क़ुर्आन मजीद ख़त्म करना बेहतर है और जाड़ों में अव्वल शब को कि हदीस में है कि जिसने शुरू दिन में क़ुर्आन ख़त्म किया शाम तक फ़रिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। इस हदीस को दारमी ने सअ्द इब्ने वक़्क़ास रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया तो गर्मियों में चूँकि दिन बड़ा होता है तो सुबह को ख़त्म करने में इस्तिग़फ़ारे मलाइका ज़्यादा होगी और जाड़ों की रातें बड़ी होतीं हैं शुरू रात में ख़त्म करने से इस्तिग़फ़ार ज़्यादा होगी। (ग़ुनिया 464)

मसअला :– तीन दिन से कम में क़ुर्आन का ख़त्म ख़िलाफ़े औला है कि नबीये करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसने तीन रात से कम में क़ुर्आन पढ़ा उसने समझा नहीं। इस हदीस को अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई ने अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत किया।

मसअला :– जब ख़त्म हो तो तीन बार قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ पढ़ना बेहतर है अगर्चे तरावीह में हो अलबत्ता अगर फ़र्ज़ नमाज़ में ख़त्म करे तो एक बार से ज़्यादा न पढ़े। (ग़ुनिया वग़ैरा 464)

मसअला :– लेट कर क़ुर्आन पढ़ने में हरज नहीं जबकि पाँव सिमटे हों और मुँह खुला हो,यूँही चलने और काम करने की हालत मे भी तिलावत जाइज़ है जबकि दिल न बटे वर्ना मकरूह है।(ग़ुनिया स 464)

मसअला :– गुस्लख़ाने और मौज़ए नजासत में क़ुर्आन मजीद पढ़ना नाजाइज़ है। (ग़ुनिया 464)

मसअला :– जब बलन्द आवाज़ से क़ुर्आन पढ़ा जाये तो तमाम हाज़िरीन पर सुनना फ़र्ज़ है जबकि वह मजमा सुनने की ग़र्ज़ से हाज़िर हो वर्ना एक का सुनना काफ़ी है अगर्चे और अपने काम में हों। (ग़ुनिया,फ़तावा रज़विया)

मसअला :– मजमे में सब लोग बलन्द आवाज़ से पढ़ें यह हराम है अकसर तीजों में सब बलन्द आवाज़ से पढ़ते हैं यह हराम है अगर चन्द शख़्स पढ़ने वाले हों तो हुक्म है कि आहिस्ता पढ़ें (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा स 366)

मसअला :– बाज़ारों में और जहाँ लोग काम में मशग़ूल हों बलन्द आवाज़ से पढ़ना नाजाइज़ है। लोग अगर न सुनेंगे तो गुनाह पढ़ने वाले पर है अगर काम में मशग़ूल होने से पहले उसने पढ़ना शुरू कर दिया हो, और अगर वह जगह काम करने के लिए मुक़र्रर न हो तो अगर पहले पढ़ना उसने शुरू किया और लोग नहीं सुनते तो लोगों पर गुनाह और अगर काम करने के बाद उसने पढ़ना शुरू किया तो सब पर गुनाह। (ग़ुनिया स 466)

मसअला :– क़ुर्आन मजीद सुनना तिलावत करने और नफ़्ल पढ़ने से अफ़ज़ल है। (ग़ुनिया)

मसअला :– तिलावत करने में कोई शख़्स मुअज़्ज़में दीनी,बादशाहे इस्लाम या आलिमे दीन या पीर या उस्ताद या बाप आ जाए तो तिलावत करने वाला उसकी ताज़ीम को खड़ा हो सकता है।(ग़ुनिया 466)

मसअला :– औरत को औरत से क़ुर्आन मजीद पढ़ना ग़ैर महरम नाबीना(अन्धे)से पढ़ने से बेहतर है कि अगर्चे वह उसे देखता नहीं मगर आवाज़ तो सुनता है और औरत की आवाज़ भी औरत है यानी ग़ैर महरम को बिला ज़रूरत सुनाने की इजाज़त नहीं। (ग़ुनिया 465)

मसअला : – क़ुर्आन पढ़ कर भुला देना गुनाह है हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि मेरी उम्मत के सवाब मुझ पर पेश किए गए यहाँ तक कि तिनका जो मस्जिद से आदमी निकाल देता है, और मेरी उम्मत के गुनाह जो मुझ पर पेश हुए तो इससे बढ़ कर कोई गुनाह नहीं देखा कि आदमी को सूरत या आयत दी गई और उसने भुला दिया। इस हदीस को अबू दाऊद व तिर्मिज़ी ने रिवायत किया। दूसरी रिवायत में है कि जो क़ुर्आन पढ़कर भूल जाये क़ियामत के दिन कोढ़ी होकर आयेगा और क़ुर्आन मजीद में है कि अन्धा उठेगा।

मसअला :– जो शख़्स ग़लत पढ़ता हो तो सुनने वाले पर वाजिब है कि उसे बता दे बशर्ते कि बताने की वजह से कीना व हसद पैदा न हो। (ग़ुनिया 465)इसी तरह अगर किसी का क़ुर्आन शरीफ़ उसके पास है उस पर ग़लती देखी तो उसे ठीक कर देना वाजिब है।

मसअला :– क़ुर्आन मजीद निहायत बारीक क़लम से लिखकर छोटा कर देना जैसा आजकल तावीज़ी क़ुर्आन छपते मकरूह है कि इसमें तहक़ीर की सूरत है। (ग़ुनिया 465) बल्कि हमाइल यानी छोटा क़ुर्आन जो गले में लटकाते हैं उतना छोटा भी न लिखना चाहिए।

मसअला :– क़ुर्आन मजीद बलन्द आवाज़ से पढ़ना अफ़ज़ल है जब कि किसी नमाज़ी या मरीज़ या सोते को तकलीफ़ न पहुँचे। (ग़ुनिया 465)

मसअला :– दीवारों और मिहराबों पर कुर्आन मजीद लिखना अच्छा नहीं और मुस्हफ़(कुर्आन)शरीफ़ को मतल्ला करने यानी सोने का पानी चढ़ाने में हरज नहीं(गुनिया 465) बल्कि ब नियते ताज़ीम मुस्तहब है।

क़िरात में ग़लती हो जाने का बयान

इस बाब में क़ाइदा कुल्लिया यह है कि अगर ऐसी ग़लती हुई जिससे मअ्ना बिगड़ गए हों तो नमाज़ फ़ासिद हो गई वर्ना नहीं यानी मअ्ना ग़लत हो जाने से नमाज़ जाती रहेगी।

मसअला :– एअ्राबी ग़लतियाँ अगर ऐसी हों जिनसे मअ्ना न बिगड़ते हों तो मुफ़सिदे नमाज़ नहीं यानी उन से नमाज़ नहीं जायेगी मसलन لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ में اَصْوَاتَكُمْ के ت पर ज़बर की जगह पेश पढ़ा और نَعْبُدُ के ب पर पेश की जगह ज़बर पढ़ा तो नमाज़ हो जायेगी और अगर मअ्ना इतना बदल गया कि उसका अक़ीदा रखना और जानबूझ कर पढ़ना कुफ़्र हो तो ज़्यादा एहतियात यह है कि नमाज़ लौटाये मसलन وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ में م को जबर और ب को पेश पढ़ दिया गया और اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا में اللّٰه पर पेश और الْعُلَمَآءُ पर ज़बर पढ़ा और فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ में ذ पर ज़ेर पढ़ा और اِيَّاكَ نَعْبُدُ में ك को ज़ेर पढ़ा और الْمُصَوِّرُ के و को ज़बर पढ़ा। इन सब सूरतों में नमाज़ को दोबारा पढ़ना बेहतर है। (रद्दुलमुहतार,आलमगीरी जि 1 स 76)

मसअला :– तश्दीद को तख़फ़ीफ़ पढ़ा यानी सिर्फ़ किसी हर्फ़ पर ज़बर,ज़ेर पेश या सुकून पढ़ा जैसे ० اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ में اِيَّاكَ की ی पर तश्दीद न पढ़ी बल्कि सिर्फ़ जबर पढ़ा ०जैसे اِيَاكَ और जैसे ० اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ में ب पर तश्दीद न पढ़ी बल्कि सिर्फ़ ज़ेर पढ़ा और जैसे ० رَبِ الْعٰلَمِيْنَ पढ़ा और जैसे قُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا में ت पर तशदीद न पढ़ी बल्कि सिर्फ़ ज़ेर पढ़ा यानी قُتِلُوْا पढ़ा तो नमाज़ हो जायेगी।(आलमगीरी,रद्दुद मुहतार)

तम्बीह :– यह कोई क़ाइदए कुल्लिया नहीं बल्कि बाज़ जगह तशदीद न पढ़ने से नमाज़ न होगी जैसे सूरए माऊन में० يَدُعُّ الْيَتِيْمَ में अगर किसी ने يَدُعُّ पर तशदीद न पढ़ी बल्कि सिर्फ़ पेश पढ़ी जैसे ० يَدُعُ الْيَتِيْمَ पढ़ा तो नमाज़ न होगी तो मतलब वही है कि मअ्ना फ़ासिद होने से नमाज़ न होगी और अगर मअ्ना फ़ासिद न हों तो नमाज़ हो जायेगी। (आलमगीरी,दुर्रेमुख़्तार)

मसअला : – मुख़फ़्फ़फ़ को मुशद्दद पढ़ा यानी जिस हर्फ़ पर तश्दीद न थी तश्दीद पढ़ी जैसे ० وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ में كَذَبَ के ذ को तश्दीद के साथ पढ़ा या इदग़ाम को तर्क किया यानी एक हर्फ़ को दूसरे के साथ मिला कर न पढ़ा जैसे اِهْدِنَا الصِّرَاطَ में اَلْصِرَاطَ पढ़ा यानी ل ज़ाहिर कर के اِهْدِنَا الصِّرَاطَ पढ़ा तो नमाज़ हो जायेगी।(आलमगीरी, जि 1 स 76 रद्दुलमुहतार जि 1 स 424)

मसअला :– हर्फ़ ज़्यादा करने से अगर मअ्ना न बिगड़ें तो नमाज़ फ़ासिद न होगी जैसे وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ में ہ के बाद ی ज़्यादा करके وَانْهٰی पढ़ा और जैसे هُمُ الَّذِيْنَ में م को जज़्म कर के अलिफ़ ज़ाहिर कर के هُمْ اَلَّذِيْنَ पढ़ा और अगर हर्फ़ के बढ़ाने से मअ्ना फ़ासिद हो जायें जैसे زَرَابِيُّ की ی को ب से बदल कर زَرَابِيبُ पढ़ा और जैसे مَثَانِيْ में ی के बाद ن ज़्यादा करके مَثَانِيْنَ पढ़ा तो नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी।

(आलमगीरी)

मसअला :– किसी हर्फ़ को दूसरे कलिमे के साथ मिलाने से नमाज़ फ़ासिद नहीं होती जैसे اِيَّاكَ نَعْبُدُ को

إِيَّاكَ نَعْبُدُ पढ़ा यूँही कलिमे के बाज़ हर्फ़ को क़तअ़ करना भी मुफ़सिद नहीं यूहीं वक़्फ़ व इब्तिदा का बे-मौक़ा होना भी मुफ़सिद नहीं अगर्चे वक़्फ़े लाज़िम हो إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ पर वक़्फ़ किया फिर पढ़ा أُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ या أَصْحٰبُ النَّارِ पर वक़्फ़ न किया और اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ पढ़ दिया और شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ पर वक़्फ़ कर के إِلَّا هُوَ पढ़ा। इन सब सूरतों में नमाज़ हो जायेगी मगर ऐसा करना बहुत बुरा है। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला :– कोई कलिमा यानी लफ़्ज़ ज़्यादा कर दिया तो वह कलिमा कुर्आन में है या नहीं दोनों सूरतों में मअ़ना बिगड़ता है तो नमाज़ जाती रहेगी जैसे

إِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْا إِثْمًا وَّ جَمَالًا और إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ أُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ

और अगर मअ़ना न बिगड़ते हों तो नमाज़ हो जायेगी अगर्चे कुर्आन में उसका मिस्ल न हो जैसे فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّ نَخْلٌ وَّ تُفَّاحٌ وَّ رُمَّانٌ और إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला :– किसी कलिमे को छोड़ गया और मअ़ना फ़ासिद न हुए जैसे جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا में दूसरे سَيِّئَةٌ को न पढ़ा तो भी नमाज़ हो जायेगी और अगर उसकी वजह से मअ़ना फ़ासिद हों जैसे فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ में لَا न पढ़ा तो नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– कोई हर्फ़ कम कर दिया जिससे मअ़ना फ़ासिद हो गये जैसे خَلَقْنَا बिला خ के لَقْنَا पढ़ा और جَعَلْنَا में बग़ैर ج के عَلْنَا पढ़ा तो नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी और अगर मअ़ना फ़ासिद न हों जैसे अ़रबी ज़बान का क़ाइदा है कि मुनादा (जिसे पुकारा जाये)के आख़िर से कुछ हर्फ़ गिरा देते हैं इसको तरख़ीम कहते हैं। अगर इस क़ाइदे के तौर पर शरारत के साथ कोई हर्फ़ गिरा दिया जैसे يَا مَالِكُ में يَا مَالِ पढ़ा तो नमाज़ हो जायेगी यूहीं تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا में تَعَالَ جَدُّ رَبِّنَا पढ़ा तो नमाज हो जायेगी (आ़लमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– एक लफ़्ज़ के बदले में दूसरा लफ़्ज़ पढ़ा अगर मअ़ना फ़ासिद न हों तो नमाज़ हो जायेगी जैसे عَلِيْمٌ की जगह حَكِيْمٌ पढ़ा और अगर मअ़ना फ़ासिद हों तो नमाज़ न होगी जैसे وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ में فٰعِلِيْنَ की जगह غٰفِلِيْنَ पढ़ा और अगर निस्बत में ग़लती की और मनसूब इलैह यानी जिसकी तरफ़ निस्बत की गई उसका ज़िक्र कुर्आन में नहीं है तो नमाज़ फ़ासिद हो गई जैसे مَرْيَمَ ابْنَةَ غَيْلَانَ पढ़ा और अगर कुर्आन में है तो नमाज़ फ़ासिद न हुई जैसे مَرْيَمَ ابْنَةَ لُقْمٰنَ (आलमगीरी)

मसअला :– हुरूफ़ के आगे पीछे करने में भी अगर मअ़ना फ़ासिद हों तो नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी वर्ना नहीं जैसे قَسْوَرَةٍ को قَوْسَرَةٍ पढ़ा عَصْفٍ की जगह عَفْصٍ पढ़ा तो नमाज़ फ़ासिद होगइ और انْفَجَرَتْ की जगह انْفَرَجَتْ पढ़ा तो नमाज़ फ़ासिद न होगी यही हुक्म कलिमे के आगे पीछे करने का है जैसे لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّ شَهِيْقٌ में شَهِيْقٌ को زَفِيْرٌ से पहले करके لَهُمْ فِيْهَا شَهِيْقٌ وَّ زَفِيْرٌ पढ़ दिया तो नमाज़ हो जायेगी और إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ وَّ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ में अगर किसी ने إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ وَّ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ पढ़ा तो नमाज़ न होगी।(आलमगीरी)

मसअला :– एक आयत को दूसरी आयत की जगह पढ़ा अगर पूरा वक़्फ़(ठहराव)कर चुका है तो नमाज़ फ़ासिद न हुई जैसे وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ पर वक़्फ़ कर के إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ पढ़ा या إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ पर वक़्फ़ किया फिर पढ़ा। أُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ और अगर वक़्फ़ न किया तो मअ़ना बदलने की सूरत में नमाज़ न होगी जैसे ऊपर गुज़री मिसाल में दोनों जगह की आयते

करीमा को एक ही साँस में पढ़ दिया यानी إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ أُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ एक ही साँस में पढ़ा और लफ़्ज़ صٰلِحٰتِ पर वक़्फ़ न किया तो नमाज़ न होगी और अगर मअ्ना नहीं बिगड़ा तो नमाज़ हो जायेगी जैसे إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ की जगह فَلَهُمْ جَزَآءً نِ الْحُسْنٰى पढ़ा तो नमाज़ हो गई। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी कलिमे को दो बार पढ़ा तो मअ्ना फ़ासिद होने में नमाज़ फ़ासिद होगी जैसे مٰلِكِ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ और رَبِّ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ जबकि इज़ाफ़त के इरादे से पढ़ा हो यानी 'रब का रब' 'मालिक का मालिक' और अगर मख़रज को दुरूस्त करने के इरादे से दोबारा पढ़ा या बग़ैर इरादे के ज़बान से दो बार हो गया या कुछ भी इरादा न किया तो इस सब सूरतों में नमाज़ हो जायेगी। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला : – एक ह़र्फ़ की जगह दूसरा ह़र्फ़ पढ़ना अगर इस वजह से हो कि उसकी ज़बान से वह ह़र्फ़ अदा नहीं होता तो मजबूर है उस पर कोशिश करना ज़रूरी है और अगर लापरवाही की वजह से है जैसे आजकल के बहुत से हाफ़िज़ और उ़लमा,कि अदा करने पर क़ादिर हैं यानी अदा कर सकते हैं मगर बेख़्याली में अदा नहीं करते बल्कि ह़र्फ़ को बदल देते हैं तो अगर मअ्ना फ़ासिद हों तो नमाज़ न होगी इस क़िस्म की जितनी नमाज़ें पढ़ी हों उनकी क़ज़ा लाज़िम है। इसका साफ़–साफ़ बयान इमामत के बयान में आयेगा।

मसअ्ला :– ط और ت में फ़र्क़ करना ज़रूरी है। यूँही س ث और ص में फ़र्क़ करना ज़रूरी है इसी तरह ذ ز और ظ में फ़र्क़ करना ज़रूरी है ऐसी ही ء ع ه और ح में फ़र्क़ करना ज़रूरी है। युँही ض ظ और د में फ़र्क़ करना ज़रूरी हैं। वर्ना मअ्ना फ़ासिद होने की सूरत में नमाज़ न होगी और बाज़ लोग तो س-ش،ز-ج،ق-ك में भी फ़र्क़ नहीं करते

मसअ्ला :– मद,गुन्ना,इज़्हार,इख़्फ़ा,इमाला(ये फ़न्ने क़िरात के शब्द हैं)बे मौक़ा पढ़ा या जहाँ पढ़ना है न पढ़ा तो नमाज़ हो जायेगी। (आलमगीरी वग़ैरा)

नोट :– मद किसी ह़र्फ़ को खींच कर पढ़ने को मद कहते हैं हुरूफ़े मद तीन हैं 1. वाव साकिन उस से पहले पेश हो 2. य साकिन उससे पहले ज़ेर हो आलिफ़ साकिन उस से पहले ज़बर हो मद की दो क़िस्मे हैं मद मुत्तसि़ल और मद मुन्फ़सि़ल। मद मुत्तसि़ल हरूफ़े मद के बा़द हमज़ा उसी लफ़्ज़ में हो। और हरूफ़े मद के बा़द हमज़ा दूसरे कलिमे में हो तो मद मुन्फ़सि़ल।

गुन्ना :– नाक में आवाज़ ले जाने को गुन्ना कहते हैं नून मीम गुशद्दद हों तो गुन्ना ज़रूरी है।

इज़्हार :– नाक में आवाज़ न ले जाने को और ज़ाहिर कर के पढ़ने को इज़हार कहते हैं

इख़्फ़ा :– किसी ह़र्फ़ की पोशीदा कर के पढ़ने को इख़्फ़ा कहते हैं।

इमाला :– ज़ेर को ى य की त़रफ़ माइल कर के पढ़ने को इमाला कहते है (क़ादरी)

मसअ्ला :– लहन यानी गाने की त़रह क़ुर्आन पढ़ना ह़राम है और सुनना भी ह़राम है मगर मद वग़ैरा में लहन हुआ तो नमाज़ हो जायेगी (आलमगीरी 1–77)जबकि बहुत ज़्यादा खींचना न हो कि तान की ह़द तक पहुँच जाये।(و साकिन से पहले अगर पेश हो ى साकिन से पहले अगर ज़ेर हो और الف से पहले अगर ज़बर हो तो ऐसे و ،ى और الف को हुरूफ़े मद्दा कहते हैं)

मसअ्ला :–अल्लाह तआ़ला के लिए मुअन्नस (स्त्री लिंग)के सेग़े या मुअन्नस की ज़मीर पढ़ने से नमाज़ जाती रहती है। (आलमगीरी 1–77)

इमामत का बयान

हदीस न.1 : – अबू दाऊद इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया तुम में के अच्छे लोग अज़ान कहें और क़ारी लोग इमामत करें कि उस ज़माने में जो ज़्यादा क़ुर्आन पढ़ा होता वही इल्म में ज़्यादा होता।

हदीस न.2 : – सही मुस्लिम की रिवायत अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है कि फ़रमाया इमामत का ज़्यादा मुस्तहक़ "अक़रा" है यानी क़ुर्आन ज़्यादा पढ़ा हुआ।

हदीस न.3 : – अबुश्शैख़ की रिवायत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है कि फ़रमाया इमाम व मोअज़्ज़िन को उन सब के बराबर सवाब है जिन्होंने उनके साथ पढ़ी है।

हदीस न.4 : – अबू दाऊद व तिर्मिज़ी रिवायत करते हैं कि अबू अ़तिया अ़क़ीली कहते हैं कि मालिक इब्ने हुवैरस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु हमारे यहाँ आया करते थे। एक दिन नमाज़ का वक़्त आ गया हम ने कहा आगे बढ़िये,नमाज़ पढ़ाईये। फ़रमाया अपने में से किसी को आगे करो कि नमाज़ पढ़ाये और बता दूँगा कि मैं क्यूँ नहीं पढ़ाता। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से सुना है कि फ़रमाते हैं जो किसी क़ौम की मुलाक़ात को जाये तो उनकी इमामत न करे और यह चाहिये कि उन्हीं में का कोई इमामत करे।

हदीस न.5 : – तिर्मिज़ी अबू उमामा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया कि तीन शख़्सों की नमाज़ कानों से मुतजाविज़ नहीं होती यानी कानों से आगे नहीं बढ़ती। भागा हुआ गुलाम यहाँ तक कि वापस आये, और जो औरत इस हालत में रात गुज़ारे कि उसका शौहर उस पर नाराज़ है और किसी गिरोह का इमाम कि वह लोग उसकी इमामत से कराहत करते हों (यानी किसी शरई ख़राबी की वजह से)

हदीस न.6 : – इब्ने माजा की रिवायत इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से यूँ है कि तीन शख़्सों की नमाज़ सर से एक बालिश्त भी ऊपर नहीं जाती एक वह शख़्स कि क़ौम की इमामत करे और वह लोग उस को बुरा जानते हों और वह औरत जिस ने इस हालत में रात गुज़ारी कि उस का शौहर उस पर नाराज़ है और दो मुसलमान भाई जो एक दूसरे को किसी दुनयावी वजह से छोड़े हों।

हदीस न.7 :– अबू दाऊद व इब्ने माजा इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम तीन शख़्सों की नमाज़ कबूल नहीं होती जो शख़्स क़ौम के आगे हो यानी इमाम हो और वह लोग उस से कराहत करते हों और वह शख़्स कि नमाज़ को पीठ दे कर आये यानी नमाज़ फ़ौत होने के बाद पढ़े और वह शख़्स जिसने आज़ाद को गुलाम बनाया।

हदीस न.8 : – इमाम अहमद व इब्ने माजा सलामा बिन्ते हुर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम क़ियामत की अ़लामत से है कि बाहम अहले मस्जिद इमामत एक दूसरे पर डालेंगे किसी को इमाम नहीं पायेंगे कि उनको नमाज़ पढ़ा दें (यानी कोई इमामत के लाइक़ नहीं होगा)

हदीस न.9 :– बुख़ारी के अ़लावा सिहाह सित्ता में अ़ब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु

से मरवी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी के घर या उसकी सल्तनत में इमामत न की जाये न उसकी मसनद पर बैठा जाये मगर उस की इजाज़त से।

हदीस न.10 :– बुखारी व मुस्लिम वग़ैरा हुमा अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब कोई औरों को नमाज़ पढ़ाये तो नमाज़ में तख़्फ़ीफ़(नमाज़ लम्बी न) करे कि उन में बीमार और कमज़ोर और बूढ़ा होता है और जब अपनी पढ़े तो जिस क़द्र चाहे लम्बी नमाज़ पढ़े।

हदीस न.11 : – इमाम बुख़ारी अबू क़तादह रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि मैं नमाज़ में दाख़िल होता हूँ और तवील करने का इरादा रखता हूँ कि बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूँ लिहाज़ा नमाज़ में इख़्तिसार (छोटा) कर देता हूँ कि जानता हूँ उसके रोने से उस की माँ को ग़म लाहिक़ होता है।

हदीस न.12 : – सही मुस्लिम में है अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई जब पढ़ चुके हमारी तरफ़ मुतवज्जह होकर फ़रमाया ऐ लोगो मैं तुम्हारा इमाम हूँ रुकू व सुजूद व क़ियाम और नमाज़ से फिरने में मुझ पर सबक़त (पहल) न करो कि मैं तुमको आगे और पीछे से देखता हूँ।

हदीस न.13 :– इमाम मालिक की रिवायत उन्हीं से इस तरह है कि फ़रमाया कि जो इमाम से पहले अपना सर उठाता और झुकाता है उस की पेशानी के बाल शैतान के हाथ में हैं।

हदीस न.14 :– बुख़ारी व मुस्लिम वग़ैरा हुमा अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर फ़रमाते हैं क्या जो शख़्स इमाम से पहले सर उठाता है इससे नहीं डरता कि अल्लाह तआला उसका सर गधे का सर कर दे। बाज़ मुहद्दिसीन से मन्कूल है कि इमाम नौवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि हदीस लेने के लिये एक बड़े मशहूर शख़्स के पास दमिश्क़ में गये और उनके पास बहुत कुछ पढ़ा मगर वह पर्दा डाल कर पढ़ाते, मुद्दतों तक उन के पास बहुत कुछ पढ़ा मगर उन का मुँह न देखा। जब ज़माना दराज़ गुज़रा और उन्होंने देखा इनको हदीस की बहुत ख़्वाहिश है तो एक रोज़ पर्दा हटा दिया। देखते क्या हैं कि उनका मुँह गधे का सा है। उन्होंने कहा साहबज़ादे इमाम पर सबक़त करने से डरो कि यह हदीस जब मुझ को पहुँची मैंने इसे बईद जाना यानी यह समझा कि ऐसा नहीं हो सकता और मैंने इमाम पर क़स्दन(जानबूझ कर) सबक़त (पहल)की तो मेरा मुँह ऐसा हो गया जो तुम देख रहे हो।

हदीस न.15 : – अबू दाऊद सौबान रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर फ़रमाते हैं कि तीन बातें किसी को हलाल नहीं जो किसी क़ौम की इमामत करे तो ऐसा करे कि ख़ास अपने लिए दुआ करे उन्हें छोड़ दे ऐसा किया तो उनकी ख़ियानत की और किसी के घर के अन्दर बग़ैर इजाज़त नज़र करे और ऐसा किया तो उनकी ख़ियानत की और पाख़ाना पेशाब रोक कर नमाज़ पढ़े बल्कि हल्का हो ले यानी फ़ारिग़ हो ले तब पढ़े।

अहकामे फ़िक़्हिय्यह

इमामते कुबरा का बयान हिस्सए अकाइद यानी पहले हिस्से में मज़कूर हुआ इस बाब में इमामते सुग़रा यानी इमामते नमाज़ के मसाइल बयान किये जायेंगे। इमामत के यह मअ्ना हैं कि दूसरे की नमाज़ इसकी नमाज़ के साथ मिली हो।

शराइते इमामत

मसअ्ला :– मर्द ग़ैर माज़ूर के इमाम के लिये छह शर्तें हैं। 1–इस्लाम 2–बालिग़ 3–आक़िल होना 4–मर्द होना 5–क़िरात 6–माज़ूर न होना।

मसअ्ला :– औरतों के इमाम के लिये मर्द होना शर्त नहीं औरत भी इमाम हो सकती है अगर्चे मकरूह है। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला : – नाबालिग़ों के इमाम के लिये बालिग़ होना शर्त नहीं बल्कि नाबालिग़ भी नाबालिग़ों की इमामत कर सकता है अगर समझ वाला हो। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– माज़ूर अपने मिस्ल या अपने से ज़ायद उज़्र वाले की इमामत कर सकता है कम उज़्र वाले की इमामत नहीं कर सकता और अगर इमाम व मुक़तदी दोनों को दो क़िस्म के उज़्र हों मसलन एक को रियाह(गैस)का मर्ज़ है दूसरे को क़तरा आने का तो एक दूसरे की इमामत नहीं कर सकता। (आलमगीरी,रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– ताहिर यानी पाक शख़्स माज़ूर की इक़्तिदा नहीं कर सकता जबकि हालते वुज़ू में हदस पाया गया या वुज़ू के बाद वक़्त के अन्दर पाया गया अगर्चे नमाज़ के बाद, और अगर न वुज़ू के वक़्त हदस था न ख़त्मे वक़्त तक हदस हुआ तो यह नमाज़ जो उसने हदस के ख़त्म होने पर पढ़ी इस में तंदुरुस्त उस की इक़्तिदा कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार 389)

मसअ्ला :– माज़ूर अपने मिस्ल माज़ूर की इक़्तिदा कर सकता है एक उज़्र वाला दो उज़्र वाले की इक़्तिदा नहीं कर सकता न एक उज़्र वाला दूसरे उज़्र वाले की इक़्तिदा कर सकता है जबकि वह एक उज़्र उसी के दो में से हो। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा जि 1 स 389)

मसअ्ला :– माज़ूर ने अपने मिस्ल दूसरे माज़ूर और तन्दुरुस्त की इमामत की तो तंदुरुस्त की न होगी माज़ूरों की हो जायेगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला : – वह बदमज़हब जिसकी बदमज़हबी हद्दे कुफ़्र को पहुँच गई हो जैसे राफ़ज़ी अगर्चे सिर्फ़ सिद्दीके अकबर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु की ख़िलाफ़त या सहाबी होने का इन्कार करता हो या शैख़ैन यानी हज़रते सिद्दीके अकबर व फ़ारूके आज़म रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा की शान में तबर्रा कहता हो यानी बकवास करता हो क़द्री, जहमी,मुशब्बेह (यह बदमज़हब फ़िरक़ों के नाम हैं)और वह जो क़ुर्आन को मख़लूक़ बताता है और वह जो शफ़ाअ़त या दीदारे इलाही या अ़ज़ाबे क़ब्र या किरामन कातिबीन का इन्कार करता है उनके पीछे नमाज़ नहीं हो सकती (आलमगीरी) इससे सख़्त तर हुक्म इस ज़माने के वहाबिया का है कि अल्लाह तआ़ला व नबीये करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की तौहीन करते या तौहीन करने वालों को अपना पेशवा या कम से कम मुसलमान ही जानते हैं के पीछे हरगिज़ हरगिज़ किसी की नमाज़ नहीं होगी क्यूँकि नमाज़ मुसलमानों पर फ़र्ज

है काफ़िरों और मुर्तदों पर नहीं।

मसअला : – जिस बदमज़हब की बदमज़हबी हद्दे कुफ़्र को न पहुँची हो जैसे तफ़ज़ीलिया उसके पीछे नमाज़ मकरूहे तहरीमी है। (आलमगीरी)

इक़्तिदा की शर्तें

इक़्तिदा की तेरह शर्तें हैं जो कि यह हैं :–

1. इक़्तिदा की नियत होना।
2. उस इक़्तिदा की नियत का तहरीमा के साथ होना या तहरीमा पर मुक़द्दम होना (यानी तहरीमा के वक़्त या तहरीमा से पहले नियत सही होना) तहरीमा से पहले नियत करने की सूरत में कोई अजनबी वह काम जो नमाज़ को तोड़ दे नियत और तहरीमा में फ़ासिला करने वाला न हो।
3. इमाम व मुक़्तदी दोनों का एक मकान में होना।
4. दोनों की नमाज़ एक हो या इमाम की नमाज़ मुक्तदी की नमाज़ को शामिल हो।
5. इमाम की नमाज़ मज़हबे मुक़तदी पर सही होना।
6. और इमाम व मुक़तदी दोनों का उसे सही समझना।
7. औरत का मुक़ाबिल न होना उन शर्तों के साथ जो ज़िक्र की जायेंगी।
8. मुक़तदी का इमाम से आगे न होना।
9. इमाम के इन्तिक़ाल यानी अल्लाहु अकबर वग़ैरा का इल्म होना
10. इमाम का मुक़ीम या मुसाफ़िर होना मालूम हो।
11. अरकान की अदा में शरीक होना।
12. अरकान की अदा में मुक़तदी इमाम के मिस्ल हो या कम यानी मुक़तदी इमाम के साथ पूरी नमाज़ में शामिल हो या कुछ रकअ़तें छूट गई हों।
13. यूँही शराइत में मुक़तदी का इमाम से ज़ाइद न होना।

मसअला :– सवार ने पैदल की या पैदल ने सवार की इक़्तिदा की या मुक़तदी व इमाम दोनों दो सवारियों पर हैं इन तीनों सूरतों में इक़्तिदा न हुई कि दोनों के मकान मुख़्तलिफ़ हैं और अगर दोनों एक सवारी पर सवार हों तो पीछे वाला अगले की इक़्तिदा कर सकता है कि मकान एक है।(रद्दुल मुहतार 1–370)

मसअला : – इमाम व मुक़तदी के दरमियान इतना चौड़ा रास्ता हो जिस में बैल गाड़ी जा सके तो इक़्तिदा नहीं हो सकती। यूँही अगर बीच में नहर हो जिस में कश्ती या छोटी कश्ती चल सके तो इक़्तिदा सही नहीं अगर्चे वह नहर बीच मस्जिद में हो और अगर बहुत तंग नहर हो जिस में छोटी कश्ती भी न तैर सके तो इक़्तिदा सही है (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– बीच में हौज़ दह–दर–दह है तो इक़्तिदा नहीं हो सकती मगर जबकि हौज़ के गिर्द सफ़ें बराबर मुत्तसिल हों तो इक़्तिदा सही है और अगर छोटा हौज़ है तो इक़्तिदा सही है।(रद्दुलमुहतार)

मसअला :– बीच में चौड़ा रास्ता है मगर उस रास्ते में सफ़ क़ाइम हो गई मसलन कम से कम तीन शख़्स खड़े हो गये तो उन के पीछे दूसरे लोग इमाम की इक़्तिदा कर सकते हैं। बशर्ते कि हर दो सफ़ और सफ़े अव्वल व इमाम के दरमियान बैल गाड़ी न जा सके यानी अगर रास्ता ज़्यादा चौड़ा

हो कि एक से ज़्यादा सफ़ें उस में हो सकती हैं तो इतनी हो लें कि दो सफ़ों के दरमियान बैल गाड़ी न जा सके। यूँही अगर रास्ता लम्बा हो यानी मसलन हमारे मुल्कों में पूरब पश्चिम हो तो भी हर दो सफ़ों में और इमाम व मुक़तदी में वही शर्त है (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार जि. 1 स.394)

मसअला :– मैदान में जमाअ़त क़ाइम हुई अगर इमाम व मुक़तदी के दरमियान इतनी जगह ख़ाली है कि उस में दो सफ़ें क़ाइम हो सकती हैं तो इक़्तिदा सही नहीं बड़ी मस्जिद मसलन मस्जिदे –जामेअ़ का भी यही हुक्म है। (दुर्रेमुख़्तार 393)

मसअला :– बड़ा मकान मैदान के हुक्म में है और उस मकान को बड़ा कहेंगे जो चालीस हाथ हो (रद्दुलमुहतार)

मसअला :– मस्जिदे ईदगाह में कितना ही फ़ासला इमाम व मुक़तदी में हो मानेए इक़्तिदा नहीं यानी इक़्तिदा सही है अगर्चे बीच में दो या ज़्यादा सफ़ों की गुन्ज़ाइश हो (आलमगीरी जि. 1 स. 81)

मसअला :– मैदान में जमाअ़त क़ाइम हुई पहली दो सफ़ों ने अभी अल्लाहु अकबर न कहा था कि तीसरी सफ़ ने इमाम के बाद तहरीमा बाँध लिया इक़्तिदा सही हो गई। (रद्दुल मुहतार जि. 1 स.394)

मसअला :– मैदान में जमाअ़त हुई और सफ़ों के दरमियान बक़द्रे हौज़ दह–दर–दह के ख़ाली छोड़ा कि उस में कोई खड़ा न हुआ तो अगर उस ख़ाली जगह के आस पास यानी दाहिने बायें सफ़ें मुत्तसिल(मिली हुई) हैं तो उस जगह के बाद वाले की इक़्तिदा सही है वर्ना नहीं और दह–दर–दह से कम जगह बची है तो पीछे वाले की इक़्तिदा सही है। (रद्दुलमुहतार)

मसअला :– दो कश्तियाँ एक दूसरे से बंधी हों एक पर इमाम है दूसरी पर मुक़तदी तो इक़्तिदा सही है और जुदा हों तो नहीं और अगर कश्ती किनारे पर रुकी हुई है और इमाम कश्ती पर है और मुक़तदी खुश्की में तो अगर दरमियान में रास्ता हो या बड़ी नहर के बराबर फ़ासला हो तो इक़्तिदा सही नहीं वर्ना है। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार) यानी जब इमाम उतरने पर क़ादिर न हो इसलिये कि जो शख़्स कश्ती से उतर कर खुशकी में पढ़ सकता है उस की कश्ती पर नमाज़ होगी ही नहीं हाँ अगर कश्ती ज़मीन पर बैठ गई तो उस पर बहरहाल नमाज़ सही है कि अब वह तख़्त के हुक्म में है।

मसअला :– जो मस्जिद बड़ी न हो उस में इमाम अगर्चे मिहराब में हो मुक़तदी मस्जिद के किनारे पर उस की इक़्तिदा कर सकता है। (आलमगीरी जि. 1 स. 82)

मसअला : – इमाम व मुक़तदी के दरमियान कोई चीज़ हाइल हो तो अगर इमाम के रुकू सुजूद में शुबहा न हो मसलन उस की या मुकब्बिर की आवाज़ सुनता हो या उसके मुक़तदियों के इन्तिक़ालात यानी रुकू सुजूद देखता है तो हरज नहीं अगर्चे उसके लिए इमाम तक पहुँचने का रास्ता न हो मसलन दरवाज़े में जालियाँ हैं कि इमाम को देख रहा है मगर खुला नहीं है कि जाना चाहें तो जा सकें। (दुर्रेमुख़्तार जि. 1 स. 394)

मसअला :– इमाम व मुक़तदी के दरमियान मिम्बर हाइल होना (यानी बीच में होना) इक़्तिदा को रोकने वाली नहीं जबकि इमाम का हाल मुश्तबह न हो यानी शक में न डाले (रद्दुलमुहतार)

मसअला : – जिस मकान की छत मस्जिद से बिल्कूल मुत्तसिल (मिली हुई)हो कि बीच में रास्ता न हो तो उस छत पर इक्तिदा हो सकती है और अगर रास्ते का फ़ासला हो तो नहीं।(रद्दुल मुहतार जि.1स 395)

मसअला :– मस्जिद के बाहर चबूतरा है और इमाम मस्जिद में है मुक़तदी उस चबूतरे पर इक्तिदा कर सकता है जबकि सफ़ें मुत्तसिल (मिली हुई) हों। (आलमगीरी जि. 1 स 83)

मसअला : – वक़्ते नमाज़ में तो यही मालूम था कि इमाम की नमाज़ सही है बाद को मालूम हुआ कि सही न थी मसलन मोज़े के मसह की मुद्दत गुज़र चुकी थी या भूल कर बे–वुज़ू नमाज़ पढ़ाई तो मुक़तदी की नमाज़ भी न हुई। (रद्दुल मुहतार जि. 1 स. 397)

मसअला : – इमाम की नमाज़ खुद उसके गुमान में सही है और मुक़तदी के गुमान में सही न हो जब भी इक्तिदा सही न हुई मसलन शाफ़िई मज़हब इमाम के बदन से खून निकल कर बह गया जिससे हनफ़ियों के नज़दीक वुज़ू टूटता है और शाफ़िई मज़हब वाले इमाम ने बग़ैर वुज़ू किये इमामत की तो हनफ़ी उस की इक्तिदा नहीं कर सकता अगर करेगा नमाज़ बातिल होगी और अगर इमाम की नमाज़ खुद उस के तौर पर सही न हो मगर मुक़तदी के तौर पर सही हो तो उस की इक्तिदा सही है जबकि इमाम को अपनी नमाज़ का फ़साद मालूम न हो मसलन शाफ़ेई इमाम ने औरत या उज़्वे तनासुल (लिंग) छूने के बाद बग़ैर वुज़ू के भूल कर इमामत की हनफ़ी उस की इक्तिदा कर सकता है अगर्चे उस को मालूम हो कि उस से ऐसा वाक़ेअ़ हुआ था और उस ने वुज़ू न किया (रद्दुलमुहतार जि. 1 स. 397)

मसअला :– शाफ़िई या दूसरे मुक़ल्लिद की इक्तिदा उस वक़्त कर सकते हैं जब वह पाकी के मसाइल और नमाज़ में हमारे हनफ़ी मज़हब के फ़राइज़ की रिआयत करता हो या मालूम हो कि इस नमाज़ में रिआयत की है यानी उस की तहारत (पाकी) ऐसी न हो कि हनफ़ियों के तौर पर नापाक कहा जाये,न नमाज़ इस क़िस्म की हो कि हम उसे फ़ासिद कहें फिर भी हनफ़ी को हनफ़ी की इक्तिदा अफ़ज़ल है और अगर मालूम न हो कि हमारे मज़हब की रिआयत करता है न यह कि इस नमाज़ में रिआयत की है तो जाइज़ है मगर मकरुह और अगर मालूम हो कि इस नमाज़ में रिआयत नहीं की है तो बिल्कुल बातिल है (आलमगीरी रद्दुलमुहतार)

मसअला :– औरत का मर्द के बराबर खड़ा होना उस वक़्त मर्द के इक्तिदा को रोकता है जबकि कोई चीज़ एक हाथ ऊँची हाइल न हो और न मर्द के क़द बराबर बलन्दी पर औरत खड़ी हो (दुर्रेमुख़्तार, जि. 1 स. 393 आलमगीरी)

मसअला : – एक औरत मर्द के बराबर खड़ी हो तो तीन मर्दो की नमाज़ जाती रहेगी दो दाहिने बायें और एक पीछे वाले की, और दो औरतें हों तो चार मर्द की नमाज़ फ़सिद हो जायेगी दो दाहिने बायें दो पीछे और तीन औरतें हो, तो दाहिने बायें और पीछे की हर सफ़ से तीन तीन शख़्स की और अगर औरतों की पूरी सफ़ हो तो पीछे जितनी सफ़ें हैं उन सब की नमाज़ न होगी।(रद्दुलमुहतार जि. 1 स. 393)

मसअला : – मस्जिद में बालाख़ाना है उस पर औरतों ने इमामे मस्जिद की इक्तिदा की और

बालाख़ाने के नीचे मर्दों ने उसी की इक़्तिदा की अगर्चे मर्द औरतों से पीछे हों नमाज़ फ़ासिद न होगी और औरतों की सफ़ नीचे हो और मर्द बालाख़ाने पर तो उस में जितने मर्द औरतों की सफ़ से पीछे होंगे उनकी नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी। (आलमगीरी जि. 1 स. 92)

मसअला : – एक ही सफ़ में एक तरफ़ मर्द खड़े हुए दूसरी तरफ़ औरतें तो सिर्फ़ एक मर्द की नमाज़ नहीं होगी जो दरमियान में है बाक़ियों की हो जायेगी। (आलमगीरी जि.1 स.82)

मसअला : इस वजह से कि मुक़तदी के पाँव इमाम से बड़े हैं उस की उंगलियाँ इमाम की उंगलियों से आगे हैं मगर ऐड़ियाँ बराबर हों तो नमाज़ हो जायेगी। (रद्दुल मुहतार जि. 1 स. 381)

मसअला : – सब से ज़्यादा इमामत का मुस्तहक़ वह शख़्स है जो नमाज़ व तहारत के अहकाम को सब से ज़्यादा जानता हो अगर्चे बाक़ी उलूम में पूरी महारत न रखता हो बशर्ते कि इतना क़ुर्आन याद हो कि सुन्नत के तरीक़े पर पढ़े और सही पढ़ता हो यानी हुरूफ़ मख़ारिज से अदा करता हो और मज़हब की कुछ ख़राबी न रखता हो और बुराईयों से बचता हो उस के बाद वह शख़्स जो तजवीद (क़िरात)का ज़्यादा इल्म रखता हो और उस के मुवाफ़िक़ अदा करता हो, अगर कोई शख़्स इन बातों में बराबर हों तो वह कि ज़्यादा परहेज़गार हो यानी हराम तो हराम शुबहात से भी बचता हो। इसमें भी बराबर हों तो ज़्यादा उम्र वाला यानी जिस को ज़्यादा ज़माना इस्लाम में गुज़रा इसमें भी बराबर हों तो जिस के अख़लाक़ ज़्यादा अच्छे हों। इस में भी बराबर हों तो ज़्यादा वजाहत वाला यानी तहज्जुद गुज़ार कि तहज्जुद की कसरत से आदमी का चेहरा ज़्यादा ख़ूबसूरत हो जाता है,फिर ज़्यादा ख़ूबसूरत, फिर ज़्यादा हसब वाला,फिर वह कि नसब के एअ्तिबार से ज़्यादा शरीफ़ हो,फिर ज़्यादा मालदार, फिर ज़्यादा इज़्ज़त वाला, फिर वह जिस के कपड़े ज़्यादा सुथरे हों। ग़र्ज़ चन्द शख़्स बराबर के हों तो उनमें जो शरई तरजीह रखता हो ज़्यादा हक़दार है और अगर तरजीह न हो तो क़ुरा (लाटरी) डाला जाये जिस के नाम का क़ुरआ निकले वह इमामत करे या उन में से जमाअत जिस को मुन्तख़ब करे वह इमाम हो और जमाअत में इख़्तिलाफ़ हो तो जिस तरफ़ ज़्यादा लोग हों वह इमाम हो और अगर जमाअत ने ग़ैर औला को इमाम बनाया तो बुरा किया मगर गुनाहगार न हुए। (दुर्रेमुख़्तार जि. 1 स 375 वग़ैरा)

मसअला :– इमामे मुअय्यन ही इमामत का हक़दार है अगर्चे हाज़िरीन में कोई इस से ज़्यादा इल्म और ज़्यादा तजवीद वाला हो (दुर्रे मुख़्तार जि.1 स. 375) यानी जब कि उस इमाम में इमामत की सारी शर्तें पाई जाती हों वर्ना वह इमामत का अहल ही नहीं बेहतर होना दरकिनार।

मसअला :– किसी के मकान में जमाअत क़ाइम हुई और साहिबे ख़ाना में अगर शराइते इमामत पाये जायें तो वही इमामत के लिए औला (ज़्यादा अच्छा) है अगर्चे और कोई इस से इल्म वग़ैरा में बेहतर हो। हाँ अफ़ज़ल यह है कि साहिबे ख़ाना उन में से इल्म की फ़ज़ीलत की वजह से किसी को आगे बढ़ाये कि इसमें उसके लिए इज़्ज़त है और अगर वह मेहमान ख़ुद ही आगे बढ़ गया तो भी नमाज़ हो जायेगी। (आलमगीरी जि. 1 स. 378 ,रद्दुलमुहतार जि. 1 स.375)

मसअला :– किराये का मकान है उसमें मालिके मकान और किरायेदार और मेहमान तीनों मौजूद हों

तो किरायेदार इमामत का ज़्यादा हक़दार है वही इजाज़त देगा और इसी से इजाज़त ली जायेगी यही हुक्म उसका है कि मकान में वक़्ती तौर पर रहता हो कि यही ज़्यादा हक़दार है।(आलमगीरी जि.1स.78)

मसअला :– बादशाह व अमीर व क़ाज़ी किसी के घर इक्टठे हुए तो ज़्यादा हक़दार बादशाह है फिर अमीर फिर क़ाज़ी फिर साहिबे ख़ाना। (रदुल मुहतार)

मसअला :– किसी शख़्स की इमामत से लोग किसी शरई वजह से नाराज़ हों तो उस का इमाम बनना मकरूहे तहरीमी है और अगर नाराज़ी किसी शरई वजह से न हो तो कराहत नहीं बल्कि अगर वही ज़्यादा हक़दार हो तो उसी को इमाम होना चाहिये। (दुर्रेमुख़्तार जि. 1 स. 376)

मसअला :– कोई शख़्स इमामत के लाइक़ है और अपने महल्ले की इमामत नहीं करता और माहे रमज़ान में दूसरे महल्ले वालों की इमामत करता है उसे चाहिये कि इशा का वक़्त आने से पहले चला जाये वक़्त हो जाने के बाद जाना मकरूह है। (आलमगीरी जि. 1 स. 81)

मसअला :– इमाम को चाहिये कि रिआयत करे और सुन्नत के मिक़दार से ज़्यादा लम्बी क़िरात न करे कि यह मकरूह है। (आलमगीरी जि. 1 स. 81)

मसअला :– बदमज़हब जिसकी बदमज़हबी हद्दे कुफ़्र को न पहुँची हो, और खुले तौर पर गुनाह करने वाला जैसे शराबी,जूआरी,ज़िनाकार,सूदख़ोर,चुग़लख़ोर वग़ैराहुम जो कबीरा गुनाह खुले आम करते हैं उन को इमाम बनाना गुनाह और उनके पीछे नमाज़ मकरूहे तहरीमी वाजिबुल इआदा यानी उनके पीछे पढ़ी हुई नमाज़ का लौटाना वाजिब है (दुर्रेमुख़्तार,रदुलमुहतार जि. 1 स. 376)

मसअला :– गुलाम देहक़ानी (दिहाती) अंधे,वलदुज़्ज़िना(जो ज़िना से पैदा हुआ)अमरद(जिसके दाढ़ी मुँछ न निकले हो) कोढ़ी,फ़ालिज की बीमारी वाले,बर्स वाले कि जिसका बर्स ज़ाहिर हो सफ़ीह (यानी बेवकूफ़ कि ख़रीद व फ़रोख़्त में धोका खाता है) की इमामत मकरूहे तन्ज़ीही है और कराहत उस वक़्त है कि उस जमाअत में कोई इन से बेहतर हो और अगर यही लोग इमामत के लाइक़ हों तो कराहत नहीं और अन्धे की कि इमामत में तो बहुत ख़फ़ीफ़ (थोड़ी) कराहत है।(दुर्रेमुख़्तार जि.1स.376)

मसअला :– जिसको कम सूझता हो वह भी अंधे के हुक्म में है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– फ़ासिक़ की इक़्तिदा न की जाये मगर सिर्फ़ जुमे की इस में मजबूरी है। बाक़ी नमाज़ों में दूसरी मस्जिद को चला जाये और जुमा अगर शहर में चन्द जगह होता हो तो उस में भी इक़्तिदा न की जाये दूसरी मस्जिद में जाकर पढ़े।(गुनिया,479 रदुल मुहतार, जि.1स.376 फ़तहुल क़दीर जि.1स.304)

मसअला :– औरत,ख़ुन्सा (हिजड़ा) नाबालिग़ लड़के की इक़्तिदा बालिग़ मर्द किसी नमाज़ में नहीं कर सकता यहाँ तक कि नमाज़े जनाज़ा व तरावीह व नवाफ़िल में और मर्द बालिग़ इन सब का इमाम हो सकता है मगर औरत भी उसकी मुक़तदी हो तो इमामते औरत की नियत करे सिवा जुमा व ईदैन के कि उनमें अगर्चे इमाम ने इमामते औरत की नियत न की इक़्तिदा कर सकती है और औरत व ख़ुन्सा औरत के इमाम हो सकते हैं मगर औरत को मुतलक़न इमाम होना मकरूहे तहरीमी है फ़राइज़ हों या नवाफ़िल फिर भी अगर औरत औरतों की इमामत करे तो इमाम आगे न हो बल्कि बीच में खड़ी हो और आगे होगी जब भी नमाज़ फ़ासिद न होगी और ख़ुन्सा के लिये यह शर्त है कि

सफ़ से आगे हो वर्ना नमाज़ होगी ही नहीं खुन्सा खुन्सा का भी इमाम नहीं हो सकता।(रद्दुलमुहतार1–3881)
मसअला :– नमाज़े जनाज़ा सिर्फ़ औरतों ने पढ़ी थी औरत ही इमाम और औरतें ही मुक़तदी तो इस जमाअत में कराहत नही। बल्कि अगर औरत नमाज़े जनाज़ा में मर्द की इमामत करेगी जब भी नमाज़े जनाज़ा अदा हो जायेगी अगर्चे मर्द की नमाज़ न होगी।(आलमगीरी जि.1स.60दुर्रे मुख़्तार जि.1स.380)
मसअला :– पागल पागलपन की हालत में इमाम नहीं हो सकता और जब होश में हो और मालूम भी हो तो हो सकता है,यूँही जिसको नशा है उसकी इमामत सही नही और मदहोश अपने मिस्ल के लिये इमाम हो सकता है औरों के लिये नहीं। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार जि.1 स. 389 आलमगीरी जि.1स.79)
मसअला :– जिसको कुछ क़ुर्आन याद हो अगर्चे एक ही आयत वह उम्मी की (यानी उस की जिसको कोई आयत याद नहीं) इक़्तिदा नहीं कर सकता और उम्मी उम्मी के पीछे पढ़ सकता है जिसको कुछ आयतें याद हैं मगर हुरूफ़ सही अदा नहीं करता जिसकी वजह से मअ्ना फ़ासिद हो जाते हैं वह भी उम्मी के मिस्ल है। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार जि.1स.389)
मसअला :– उम्मी गूँगे की इक़्तिदा नहीं कर सकता। गूँगा उम्मी की कर सकता है और अगर उम्मी सही तौर पर तहरीमा भी बाँध नहीं सकता तो गूँगा की इक़्तिदा कर सकता है।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार जि. 1 स. 389)
मसअला :– उम्मी ने उम्मी और क़ारी की (यानी उसकी कि ब–क़द्रे फ़र्ज़ क़ुर्आन सही पढ़ सकता हो) इमामत की तो किसी की नामज़ न होगी अगर्चे क़ारी दरमियाने नमाज़ में शरीक हुआ हो यूँही अगर क़ारी ने उम्मी को ख़लीफ़ा बनाया हो अगर्चे तशह्हुद में। (रद्दुलमुहतार जि.1 स.389)
मसअला :– उम्मी पर वाजिब है कि रात दिन कोशिश करे यहाँ तक कि ब–क़द्रे फ़र्ज़ क़ुर्आन मजीद याद करले वर्ना अल्लाह तआला के नज़दीक माज़ूर नहीं (आलमगीरी जि. 1 स. 80)
मसअला :– जिस से हुरूफ़ सही अदा न होते उस पर वाजिब है कि तसहीहे हुरूफ़ यानी हुरूफ़ को उस के सही मख़रज और सिफ़ात के साथ मश्क़ करने में रात दिन पूरी कोशिश करे और अगर सही पढ़ने वाले की इक़्तिदा कर सकता हो तो जहाँ तक मुमकिन हो उसकी इक़्तिदा करे या वह आयतें पढ़े जिसके हुरूफ़ सही अदा कर सकता हो और यह दोनों सूरतें ना मुमकिन हों तो खूब कोशिश करने के ज़माने में उनकी अपनी नमाज़ हो जायेगी और अपनी तरह दूसरे की इमामत भी कर सकता है यानी उनकी उन्हीं हुरूफ़ को सही न पढ़ता हो जिस को यह सही नहीं पढ़ता और अगर उसके जो हुरूफ़ अदा नहीं होते दूसरा उस को अदा कर लेता है मगर कोई दूसरा हर्फ़ उस से अदा नहीं होता तो एक दूसरे की इमामत नहीं कर सकता और अगर कोशिश भी नहीं करता तो उसकी खुद भी नहीं होती दूसरे की उसके पीछे क्या होगी ? आज कल आम लोग इसमें मुब्तला हैं कि ग़लत पढ़ते हैं और कोशिश नहीं करते उनकी नमाज़ें खुद बातिल हैं इमामत की तो बात ही अलग है। हकला यानी जिससे एक ही हुरूफ़ दो दो या तीन तीन अदा होते हैं उसका भी यही हुक्म है यानी अगर साफ़ पढ़ने वाले के पीछे पढ़ सकता है तो उसके पीछे पढ़ना लाज़िम है वर्ना उनकी अपनी हो जायेगी और अपनी तरह या अपने से कमतर की इमामत भी कर सकता है।(रद्दुल मुहतार जि.1स. 391)
मसअला :– क़ारी नमाज़ पढ़ा रहा था उम्मी (शरीअत में उम्मी ऐसे मुसलमान को कहते हैं जो

कुर्आन शरीफ़ की कोई आयत भी न पढ़ सकता हो) आया और शरीक न हुआ बल्कि अपनी अलग नमाज़ पढ़ी तो उस उम्मी की नमाज़ न होगी। (आलमगीरी जि. 1 स. 80)

मसअ्ला :– क़ारी कोई दूसरी नमाज़ पढ़ा रहा है तो उम्मी को जाइज़ है कि अपनी पढ़ ले और इन्तिज़ार न करे। (आलमगीरी जि. 1 स. 80)

मसअ्ला :– उम्मी मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा है और क़ारी मस्जिद के दरवाज़े पर है या मस्जिद के पड़ोस में तो उम्मी की नमाज़ हो जायेगी (आलमगीरी जि. 1 स. 80) जिसका सत्र खुल गया हो वह सत्र छुपाने वाले का इमाम नहीं हो सकता, हाँ सत्र खुले हुओं का इमाम हो सकता है और अगर बाज़ मुक़तदी का सत्र खुला हुआ है और बाज़ का छुपा हुआ तो सत्र छुपाने वाले की नमाज़ न होगी खुले हुओं की होजायेगी और जिनके पास सत्र के लाइक़ कपड़े न हों उन के लिये अफ़ज़ल यह है कि तन्हा तन्हा बैठकर इशारे से दूर दूर पढ़ें जमाअ़त से पढ़ना मकरूह है और अगर जमाअ़त से पढ़ें तो इमाम बीच में हो आगे न हो। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 स. 380 आलमगीरी जि. 1 स. 80) सत्र खुले हुए से मुराद जिसके पास कपड़ा ही नहीं क्यूंकि कपड़ा होते हुए न छुपाया तो न उसकी हो न उसके पीछे किसी और की जैसा कि नमाज़ की शर्तों के बाब में बयान हुआ।

मसअ्ला :– जो रुकू व सुजूद से आ़जिज़ है य़ानी वह कि खड़े या बैठे रुकू व सुजूद की जगह इशारा करता हो उसके पीछे उसकी नमाज़ न होगी जो रुकू व सुजूद कर सकता है और अगर बैठकर रुकू व सुजूद कर सकता हो तो उसके पीछे खड़े होकर पढ़ने वाले की हो जायेगी।(दुर्रेमुख़्तार रद्दुल मुहतार जि.1 स.396)

मसअ्ला :– फ़र्ज़ नमाज़ नफ़्ल पढ़ने वाले के पीछे और एक फ़र्ज़ वाले की दूसरी फ़र्ज़ पढ़ने वाले के पीछे नहीं हो सकती ख़्वाह दोनों के फ़र्ज़ दो नाम के हों मसलन एक ज़ोहर पढ़ता हो दूसरा अ़स्र या सिफ़त में जुदा हों मसलन एक आज की ज़ोहर पढ़ता हो दूसरा कल की और अगर दोनों की एक ही दिन के एक ही वक़्त की क़ज़ा हो गई है तो एक दूसरे के पीछे पढ़ सकता है,यूँही अगर इमाम ने अ़स्र की नमाज़ गुरूब से पहले शुरू की दो रकअ़तें पढ़ीं कि आफ़ताब गुरूब हो गया अब दूसरा शख़्स जिसकी उसी दिन की नमाज़े अ़स्र जाती रही पिछली किरअ़तों में उसकी इक़्तिदा कर सकता है अलबत्ता अगर यह मुक़तदी मुसाफ़िर था तो उसकी इक़्तिदा नहीं कर सकता मगर गुरूब से पहले इक़ामत की नियत कर ली हो तो कर सकता है।(दुर्रेमुख़्तार, जि.1स.389 रद्दुलमुहतार आलमगीरी जि.1स. 80)

मसअ्ला :– दो शख़्सों ने बाहम यूँ नमाज़ पढ़ी कि हर एक ने इमामत की नियत की नमाज़ हो गई और अगर हर एक ने इक़्तिदा की नियत की तो दोनों की न हुई। (आलमगीरी जि.1 स.81)

मसअ्ला :– जिसने किसी नमाज़ की मन्नत मानी उस नमाज़ को न फ़र्ज़ पढ़ने वाले के पीछे पढ़ सकता है न नफ़्ल वाले के,न उसके पीछे कि मन्नत की नमाज़ पढ़ता है हाँ अगर एक की नज़र मानने के बाद दूसरे ने यूँ नज़र की कि उस नमाज़ की मन्नत मानता हूँ जो फ़ुलाँ ने मानी है तो एक दूसरे के पीछे पढ़ सकता है। (दुर्रेमुख़्तार, जि. 1 स. 390 आलमगीरी जि. 1 स. 80)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने नफ़्ल पढ़ने की क़सम खाई, मन्नत वाला मन्नत की नमाज़ उसके पीछे भी नहीं पढ़ सकता और यह क़सम खाने वाला फ़र्ज़ और नफ़्ल और नज़र और दूसरे क़सम खाने

वाले के पीछे पढ़ सकता है। (दुर्रेमुख़्तार, जि. 1 स. 390 आलमगीरी जि. 1 स. 80)

मसअ्ला :– दो शख़्स नफ़्ल एक साथ पढ़ रहे थे और फ़ासिद कर दी तो एक दूसरे के पीछे पढ़ सकता है और तन्हा–तन्हा पढ़ रहे थे और फ़ासिद कर दें तो इक़्तिदा नहीं हो सकती। (दुर्रेमुख़्तार जि.1स.390)

मसअ्ला :– लाहिक़ यानी जिसकी दरमियानी रकअ्त छूट गई हों वह उसकी इक़्तिदा नहीं कर सकता जिसकी शुरू की रकअ्त छूट गई हों और न लाहिक़ की कर सकता है। यूँही मसबूक़ की ना लाहिक़ की न मसबूक़ न इन दोनों की कोई दूसरा शख़्स इक़्तिदा कर सकता है। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार जि.1स.390)

मसअ्ला :– जिन नमाज़ों में क़स्र है वक़्त गुज़र जाने के बाद उनमें मुसाफ़िर मुक़ीम की इक़्तिदा नहीं कर सकता ख़्वाह मुक़ीम ने वक़्त ख़त्म होने पर शुरू की हो या वक़्त में शुरू की और नमाज़ पूरी न होने से पहले वक़्त ख़त्म हो गया अलबत्ता अगर मुसाफ़िर ने मुक़ीम के पीछे तहरीमा बाँध लिया और तहरीमा के बाद वक़्त ख़त्म हो गया तो इक़्तिदा सही है। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 स. 390)

मसअ्ला :– महल्ले इक़ामत यानी शहर या गाँव में जो शख़्स चार रकअ्त वाली नमाज़ पढ़ाये और दो पर सलाम फेर दे तो ज़रूर है कि मुक़तदी को उसका मुक़ीम या मुसाफ़िर होना मालूम हो ख़्वाह मुक़तदी ख़ुद मुक़ीम हो या मुसाफ़िर। अगर इमाम ने न नमाज़ से पहले अपना मुसाफ़िर होना बताया न बाद को और चला गया, न उसका हाल और तरह मालूम हुआ तो मुक़तदी अपनी फिर पढ़ें,हाँ अगर जंगल में या मन्ज़िल पर दो पढ़कर चला गया तो उन की नमाज़ हो जायेगी यही समझा जायेगा कि मुसाफ़िर था। (ख़ानिया, जि. 1 स. 90)

मसअ्ला :– जहाँ शर्त न पाई जाने की वजह से इक़्तिदा सही न हो तो वह नमाज़ सिरे से शुरू ही न होगी और अगर मुख़्तलिफ़ होने की वजह से इक़्तिदा सही न हो तो इसके नफ़्ल हो जायेंगे मगर इस नफ़्ल के तोड़ देने से क़ज़ा वाजिब न होगी। (दुर्रेमुख़्तार जि. 1 स. 392)

मसअ्ला :– जिसने वुज़ू किया है तयम्मुम वाले की और पाँव धोने वाला मोज़े पर मसह करने वाले की और आज़ाए वुज़ू का धोने वाला पट्टी पर मसह करने वाले की इक़्तिदा कर सकता है। (आलमगीरी जि.1स.79)

मसअ्ला :– खड़ा होकर नमाज़ पढ़ने वाला बैठने वाले और कुबड़े की इक़्तिदा कर सकता है अगर्चे उसका कुब हद्दे रुकू को पहुँचा हो जिसके पाँव में ऐसा लंगड़ापन है कि पूरा पाँव ज़मीन पर नहीं जमता औरों की इमामत कर सकता है मगर दूसरा शख़्स औला (ज़्यादा अच्छा)है। (आलमगीरी जि.1स.79)

मसअ्ला :– नफ़्ल पढ़ने वाला फ़र्ज़ पढ़ने वाले की इक़्तिदा कर सकता है अगरचे फ़र्ज़ पढ़ने वाला पिछली रकअ्तों में क़िरात न करे। (आलमगीरी जि. 1 स. 78)

मसअ्ला :– नफ़्ल पढ़ने वाले ने फ़र्ज़ पढने वाले की इक़्तिदा की फिर नमाज़ फ़ासिद कर दी फिर उसी ने नमाज़ में उस फ़ौत शुदा (छूटी हुई) की क़ज़ा की नियत से इक़्तिाद की तो सही है। (आलमगीरी जि. 1स.79)

मसअ्ला :– इशारे से पढ़ने वाला अपने मिस्ल की इक़्तिदा कर सकता है मगर जबकि इमाम लेटकर इशारे से पढ़ता हो और मुक़तदी खड़े या बैठ कर पढ़ते हों तो इक़्तिदा नहीं कर सकते। (दुर्रे मुख़्तार जि.1स.396)

मसअ्ला :– जिन्न ने इमामत की है तो इक़्तिदा सही है अगर इन्सानी सूरत में ज़ाहिर हुआ।

(दुर्रेमुख़्तार,रद्दुल मुहतार जि. 1 स. 372)

मसअ्ला :– इमाम ने अगर बिला तहारत नमाज़ पढ़ाई या कोई और शर्त या रुक्न न पाया गया जिससे उसकी इमामत सही न हो तो उस पर लाज़िम है कि इस बात की मुक़्तदियों को ख़बर कर दे जहाँ तक मुमकिन हो ख़्वाह ख़ुद कहे या कहला भेजे या ख़त के ज़रीए से और मुक़्तदी अपनी अपनी नमाज़ को दोहरायें। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 स. 397)

मसअ्ला :– इमाम ने अपना काफ़िर होना बताया तो पेशतर (पहले) के बारे में उसका क़ौल नहीं माना जायेगा और जो नमाज़ें उसके पीछे पढ़ीं उनका लौटाना नहीं। हाँ अब वह बेशक मुर्तद हो गया (दुर्रे मुख़्तार जि 1 स. 389) मगर जबकि यह कहे कि अब तक काफ़िर था और अब मुसलमान हुआ तो वह शख़्स मुसलमान हो गया मगर जितनी नमाज़ें उसके पीछे पहले पढ़ीं उन्हें लौटाना फ़र्ज़ है।

मसअ्ला :– पानी न मिलने के सबब इमाम ने तयम्मुम किया था और मुक़्तदी ने वुज़ू किया और नमाज़ के बीच में मुक़्तदी ने पानी देखा इमाम की नमाज़ सही हो गई और मुक़्तदी की बातिल (दुर्रेमुख़्तार जि.1स. 395)जबकि उसके गुमान में हो कि इमाम ने भी पानी पर इत्तिला पाई बहुत किताबों में यह हुक्म मुतलक़ है यानी बग़ैर क़ैद के और ज़ाहिर यह है कि क़ैद के साथ है। अल्लाह अच्छाई का ज़्यादा जानने वाला है।

जमाअ्त का बयान

हदीस न. 1: – बुख़ारी व मुस्लिम व मालिक व तिर्मिज़ी व नसाई व इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जमाअ्त से नमाज़ पढ़ना तन्हा पढ़ने से सत्ताईस (27)दर्जा बढ़कर है।

हदीस न. 2 :– मुस्लिम व अबू दाऊद व नसई व इब्ने मांजा ने रिवायत की कि अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु कहते हैं हमने अपने को इस हालत में देखा कि नमाज़ से पीछे नहीं रहता मगर खुला मुनाफ़िक़ या बीमार और बीमार की यह हालत होती कि दो शख़्सों के दरमियान में चला कर नमाज़ को लाते और फ़रमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने हम को सुननुल हुदा की तालीम फ़रमाई और जिस मस्जिद में अज़ान होती है उसमें नमाज़ पढ़ना सुननुल हुदा से है और सुननुल हुदा उस सुन्नत को कहते हैं जिसे बिलावजह छोड़ना गुनाह है। और एक रिवायत में यूँ है कि जिसे यह अच्छा मालूम हो कि कल ख़ुदा से मुसलमान होने की हालत में मिले तो पाँचों नमाज़ों पर मुहाफ़ज़त करे यानी पाँचों नमाज़ों को उनकी शर्तों के साथ हमेशा पढ़ता रहे। जब उन की अज़ान कही जाये कि अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के लिये सुननुल हुदा मशरूअ़ फ़रमाई यानी शरीअ़त में देखा और यह सुननुल हुदा से है और अगर तुम ने अपने घरों में पढ़ ली जैसे यह पीछे रह जाने वाला अपने घर में पढ़ लिया करता है तो तुम ने अपने नबी की सुन्नत छोड़ दी और अगर नबी की सुन्नत छोड़ोगे तो 'गुमराह' हो जाओगे और अबू दाऊद की रिवायत में है 'काफ़िर'हो जाओगे और जो शख़्स अच्छी तरह तहारत करे फिर मस्जिद को जाये तो जो क़दम चलता है हर क़दम के

बदले अल्लाह तआ़ला नेकी लिखता है और दर्जा बलन्द करता है और गुनाह मिटा देता है।

हदीस न.3 :– नसाई व इब्ने खुजैमा अपनी सही में उ़समान रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व़सल्लम जिसने कामिल वुजू किया फिर नामजे फ़र्ज़ के लिये चला और इमाम के साथ पढ़ी उसके गुनाह बख़्श दिये जायेंगे।

हदीस न.4 :– त़बरानी अबू उमामा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं अगर यह नमाज़े जमाअ़त से पीछे रह जाने वाला जानता कि इस जाने वाले के लिये क्या है तो घसिटता हुआ ह़ाज़िर होता।

हदीस न.5 व 6 :– तिर्मिजी अनस रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो अल्लाह तआ़ला के लिये चालीस दिन बा–जमाअ़त नमाज़ पढ़े और तकबीरे ऊला पाये उसके लिये दो आज़ादियाँ लिख दी जायेंगी एक नार(दोज़ख़)से दूसरी निफ़ाक़ से। इब्ने माजा की रिवायत ह़ज़रते उ़मर इब्ने ख़त्ताब रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो शख़्स चालीस रातें मस्जिद में जमाअ़त के साथ पढ़े कि इशा की तकबीरे ऊला फ़ौत न हो तो अल्लाह तआ़ला उसके लिये दोज़ख़ से आज़ादी लिख देगा।

हदीस न.7 :– तिर्मिज़ी इब्ने अ़ब्बास रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी फ़रमाते हैं स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम रात मेरे रब की त़रफ़ से एक आने वाला आया और एक रिवायत में है मैंने अपने रब को निहायत जमाल के साथ तजल्ली फ़रमाते हुए देखा उसने फ़रमाया ऐ मुह़म्मद मैंने अर्ज़ की لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ(हाज़िर हूँ और भलाई है)उसने फ़रमाया तुम्हें मा़लूम है कि मलाए अअ़्ला यानी मलाइकए मुक़र्रबीन किस अम्र (बात) में बहस करते हैं ?। मैंने अ़र्ज़ की नहीं जानता उसने अपना दस्ते क़ुदरत मेरे शानों के दरमियान रखा यहाँ तक कि उसकी ठंडक मैंने अपने सीने में पाई तो जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है मैंने जान लिया और एक रिवायत में है जो कुछ मशरिक़ (पूरब) व मग़रिब (पश्चिम)के दरमियान है जान लिया। फरमाया ऐ मुह़म्मद जानते हो मलाए अअ़्ला किस चीज़ में बहस करते हैं। मैंने अ़र्ज़ की हाँ दरजात व कफ़्फ़ारात और जमाअ़तों की त़रफ़ चलने और सख़्त सर्दी में पूरा वुजू करने और नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ के इन्तिज़ार में और जिसने इनको हमेशा किया ख़ैर के साथ ज़िन्दा रहेगा और ख़ैर के साथ मरेगा और अपने गुनाहों से ऐसा पाक हो गया जैसे उस दिन कि अपनी माँ के पेट से–पैदा हुआ था। उसने फ़रमाया ऐ मुह़म्मद! मैंने अर्ज़ की لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ जब नमाज़ पढ़ो यह कह लो:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَ تَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَ حُبَّ الْمَسَاكِيْنِ وَ اِذَا اَرَدْتَّ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِىْ اِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ.

तर्जमा : "ऐ अल्लाह! मैं तुझसे सवाला करता हूँ कि अच्छे काम करूँ और बुरी बातों से बाज़ रहूँ और मिस्कीनों से महब्बत रखूँ और तू जब अपने बन्दों पर फ़ितना करना चाहे तो मुझे उससे पहले उठा ले"। फ़रमाया और दरजात ये हैं। सलाम आ़म करना या़नी हर मुसलमान को

सलाम करना और खाना खिलाना और रात में नमाज़ पढ़ना जब लोग सोते हों।

हदीस न.8 व 9 :– इमाम अहमद व तिर्मिज़ी ने मआज़ इब्ने जबल रदियल्लाहु तआला अन्हु से यूँ रिवायत की है कि एक दिन सुबह की नमाज़ को तशरीफ़ लाने में देर हुई यहाँ तक कि क़रीब था कि हम आफ़ताब देखने लगें कि जल्दी करते हुए तशरीफ़ लाये इक़ामत हुई और मुख़्तसर नमाज़ पढ़ी। सलाम फेर कर बलन्द आवाज़ से फ़रमाया सब अपनी–अपनी जगह पर रहो मैं तुम्हें ख़बर दूँगा कि किस चीज़ ने सुबह की नमाज़ में आने से रोका, मैं रात उठा वुज़ू किया और जो मुक़द्दर था नमाज़ पढ़ी फिर मैं नमाज़ में ऊंघा (इसके बाद उसी के मिस्ल वाक़ेआत बयान फ़रमाये और इस रिवायत में यह है)उसके दस्ते कुदरत रखने से उन की खुनकी मैंने अपने सीने में पाई तो मुझ पर हर चीज़ रौशन हो गई और मैंने पहचान ली और इस रिवायत में यह भी है कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया कफ़्फ़ारात क्या हैं ? मैंने अर्ज़ की जमाअत की तरफ़ चलना और मस्जिदों में नमाज़ों के बाद बैठने और सख़्तियों के वक़्त कामिल वुज़ू करना इसके आख़िर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया यह हक़ है इसे पढ़ो और सीखो, तिर्मिज़ी ने कहा यह हदीस के मुतअल्लिक़ सवाल किया तो जवाब दिया कि यह हदीस सही है और इसी के मिस्ल दारमी व तिर्मिज़ी ने अब्दुर्रहमान इब्ने आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की।

हदीस न.10 :– अबू दाऊद व नसई व हाकिम अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो अच्छी तरह वुज़ू करके मस्जिद को जाये और लोगों को इस हालत में पाये कि नमाज़ पढ़ चुके तो अल्लाह तआला इसे भी जमाअत से पढ़ने वालों के मिस्ल सवाब देगा और उनके सवाब से कुछ कम न होगा। हाकिम ने कहा यह हदीस मुस्लिम की शर्त पर सही है।

हदीस न.11 :– इमाम अहमद व अबू दाऊद व नसई व हाकिम और इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हब्बान अपनी सही में उबई इब्ने कअ़ब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि एक दिन सुबह की नमाज़ पढ़कर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया फ़ुलाँ हाज़िर है ? लोगों ने अर्ज़ की, नहीं। फ़रमाया फ़लाँ हाज़िर है ? लोगों ने अर्ज़ की नहीं। फ़रमाया यह दोनों नमाज़ें मुनाफ़िक़ीन पर बहुत गिराँ (भारी)हैं अगर जानते कि इनमें क्या (सवाब)है तो घुटनों के बल घसिटते आते और बेशक पहली सफ़ फ़रिश्तों की सफ़ के मिस्ल है और अगर तुम जानते उसकी फ़ज़ीलत क्या है तो उसकी तरफ़ सबक़त करते। मर्द की एक मर्द के साथ नमाज़ ब–निस्बत तन्हा के ज़्यादा पाकीज़ा है और दो के साथ ब–निस्बत एक के ज़्यादा अच्छी और जितने ज़्यादा हों अल्लाह तआला के नज़्दीक ज़्यादा महबूब हैं। यहया इब्ने मुईन और ज़हली कहते हैं यह हदीस सही है।

हदीस न.12 :– अबू दाऊद और तिर्मिज़ी और इब्ने ख़ज़िमा से सही मुस्लिम में हज़रत उसमान से मरवी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस ने बाजमाअत इशा की नमाज़ पढ़ी गोया आधी रात क़ियाम किया और जिस ने फ़ज्र की नमाज़ जमाअत से पढ़ी गोया पूरी रात क़ियाम किया।

हदीस न.13 :– बुख़ारी व मुस्लिम अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु

तआला अलैहि वसल्लम मुनाफ़िक़ीन पर सब से ज़्यादा गिराँ नमाज़े इशा व फ़ज्र है और जानते कि इसमें क्या है तो घसिटते हुए आते और बेशक मैंने क़स्द (इरादा)किया कि नमाज़ क़ाइम करने का हुक्म दूँ फिर किसी को अम्र फ़रमाऊँ (हुक्म दूँ) कि लोगों को नमाज़ पढ़ाए और मैं अपने हमराह कुछ लोगों को जिन के पास लकड़ियों के गट्ठे हों उन के पास लेकर जाऊँ जो नमाज़ में हाज़िर नहीं होते और उनके घर उन पर आग से जला दूँ। इमाम अहमद ने उन्हीं से रिवायत की कि फ़रमाते हैं अगर घरों में औरतें और बच्चे न होते तो नमाज़े इशा क़ाइम करता और जवानों को हुक्म देता कि जो कुछ घरों में है आग से जला दें।

हदीस न.14 :– इमाम मालिक ने अबूबक्र इब्ने सुलैमान रदियल्लाहु तआला अन्हु ने सुबह की नमाज़ में सुलैमान इब्ने अबी हसमा रदियल्लाहु तआला अन्हु को नहीं देखा बाज़ार तशरीफ़ ले गये और फ़रमाया कि सुबह की नमाज़ में मैंने सुलैमान को नहीं पाया। उन्होंने कहा रात में नमाज़ पढ़ते रहे फिर नींद आ गई फ़रमाया कि सुबह की नमाज़ जमाअत से न पढ़ूँ ? यह मेरे नज़्दीक इस से बेहतर है कि रात में क़ियाम करूँ।

हदीस न. 15 :– अबू दाऊद व इब्ने माजा व इब्ने हब्बान इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसने अज़ान सुनी और आने में कोई उज़्र नहीं उसकी वह नमाज़ मक़बूल नहीं। लोगों ने अर्ज़ की उज़्र क्या है ? ख़ौफ़ या मर्ज़ और एक रिवायत इब्ने हब्बान व हाकिम की उन्हीं से है जो अज़ान सुने और बिला उज़्र हाज़िर न हो उसकी नमाज़ ही नहीं हाकिम ने कहा यह हदीस सही है।

हदीस न.16 :– अहमद व अबू दाऊद व नसई व इब्ने ख़ुज़ैमा व इब्ने हब्बान व हाकिम अबू दरदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि (जंगल) में तीन शख़्स हों और नमाज़ न क़ाइम की गई मगर उन पर शैतान मुसल्लत हो गया तो जमाअत को लाज़िम जानों कि भेड़िया उसी बकरी को खाता है जो रेवड़ से दूर हो।

हदीस न.17 से 20 तक :– अबू दाऊद व नसाई ने रिवायत की कि अब्दुल्लाह इब्ने मकतूम रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह! मदीने में मूज़ी (ख़तरनाक) जानवर ब–कसरत (ज़्यादा)हैं और मैं नाबीना हूँ तो क्या मुझे रुख़सत (छूट) है कि घर पढ़ लूँ। फ़रमाया حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ व حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ सुनते हो। अर्ज की हाँ। फ़रमाया तो हाज़िर हो इसी के मिस्ल मुस्लिम ने अबू हुरैरा से और तबरानी ने कबीर में अबू उमामा से और अहमद व अबू यअ़ला और तबरानी ने औसत में और इब्ने हब्बान ने जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हुम से रिवायत की। (अंधा कि अन्दाज़ा न रखता हो न कोई ले जाने वाला हो ख़ुसूसन दरिन्दों का ख़ौफ़ हो तो उसे ज़रूर रुख़सत है मगर हुज़ूर ने उन्हें अफ़ज़ल पर अमल करने की हिदायत फ़रमाई कि और लोग सबक़ लें जो बिला उज़्र घर में पढ़ लेते है)

हदीस न.21 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि एक साहब मस्जिद में हाज़िर हुए उस वक़्त कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज़

पढ़ चुके थे फ़रमाया है कोई कि इस पर सदक़ा करे(यानी इसके साथ नमाज़ पढ़ ले कि इसे जमाअ़त का सवाब मिल जाये) एक साहब(यानी हज़रते अबूबक्र सिद्दीक़ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) ने उनके साथ नमाज़ पढ़ी।

हदीस न.22 :– इब्ने माजा अबू मूसा अशअ़री रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं दो और दो से ज़्यादा जमाअ़त है।

हदीस न.23 :– बुख़ारी व मुस्लिम अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआआ अ़न्हु से रावी हुज़ूर फ़रमाते हैं अगर लोग जानते कि अज़ान और सफ़े अव्वल में क्या है फिर बग़ैर कुरआ डाले नहीं पाते तो इस पर कुरआ डालते।

हदीस न.24 :– इमाम अहमद व तबरानी अबू उमामा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर फ़रमाते हैं कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते सफ़े अव्वल पर दुरूद भेजते हैं। लोगों ने अ़र्ज़ की और दूसरी सफ़ पर। फ़रमाया अल्लाह और फरिश्ते सफ़े अव्वल पर दुरूद भेजते हैं। लोगों ने अ़र्ज़ की और दूसरी पर। फ़रमाया और दूसरी पर और फ़रमाया सफ़ों को बराबर करो, मोंढों को मक़ाबिल करो और भाईयों के हाथों में नर्म हो जाओ और खुली हुई जगहों को बन्द करो कि शैतान भेड़ के बच्चों की तरह तुम्हारे दरमियान दाख़िल हो जाता है।

हदीस न.25 :– बुख़ारी के अ़लावा दीगर सिहाहे सित्ता में मरवी नोमान इब्ने बशीर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम हमारी सफ़ें तीर की तरह सीधी करते यहाँ तक कि ख़्याल फ़रमाया कि अब हम समझ लिये फिर एक दिन तशरीफ़ लाये और खड़े हुये और क़रीब था कि तकबीर कहें कि एक शख़्स का सीना सफ़ से निकला देखा। फ़रमाया ऐ अल्लाह के बन्दों सफ़ें बराबर करो या तुम्हारे अन्दर अल्लाह तआ़ला इख़्तिलाफ़ डाल देगा। बुख़ारी ने भी इस हदीस के आख़िरी हिस्से को रिवायत किया।

हदीस न.26 :– इमाम अहमद व अबू दाऊद व नसई व इब्ने ख़ुज़ैमा व हाकिम इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो सफ़ को मिलायेगा अल्लाह तआ़ला उसे मिलायेगा और जो सफ़ को काटेगा अल्लाह तआ़ला उसे काट देगा। हाकिम ने कहा मुस्लिम की शर्त पर यह हदीस सही है।

हदीस न.28 :– मुस्लिम व अबू दाऊद व नसई व इब्ने माजा जाबिर इब्ने सुमरह रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं क्यूँ नहीं उस तरह सफ़ बाँधते हो जैसे मलाइका अपने रब के हुज़ूर बाँधते हैं। अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह! किस तरह मलाइका अपने रब के हुज़ूर सफ़ बाँधते हैं। फ़रमाया अगली सफ़ें पूरी करते हैं और सफ़ में मिलकर खड़े होते हैं।

हदीस न.29 :– इमाम अहमद व इब्ने माजा व इब्ने ख़ुज़ैमा व इब्ने हब्बान व हाकिम उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रावी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं अल्लाह और उसके फ़रिश्ते उन लोगों पर दुरूद भेजते हैं जो सफ़ें मिलाते हैं। हाकिम

ने कहा यह हदीस मुस्लिम की शर्त पर सही है।

हदीस न.30 :– इब्ने माजा उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रावी कि फ़रमाते हैं जो सफ़ों की खुली हुई जगहों को बन्द करे अल्लाह तआ़ला उसका दर्जा बलन्द फ़रमाएगा और तबरानी की रिवायत में इतना और भी है कि उसके लिये जन्नत में अल्लाह तआ़ला उसके बदले एक घर बनायेगा।

हदीस न.31 :– सुनने अबू दाऊद व नसई व इब्ने खुज़ैमा में बर्रा इब्ने आ़ज़िब रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम सफ़ के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाते और हमारे मोंढे या सीने पर हाथ फेरते और फ़रमाते मुख़्तलिफ़(अलग–अलग)खड़े न हो कि तुम्हारे दिल मुख़्तलिफ़ हो जायेंगे।

हदीस न.32, 33, 34 :– तबरानी इब्ने उ़मर से और अबू दाऊद बर्रा इब्ने आ़ज़िब रदियल्लहु तआ़ला अ़न्हुम से रावी कि फ़रमाते हैं उस क़दम से बढ़कर किसी क़दम का सवाब नहीं जो इसलिए चला कि सफ़ में कुशादगी(खुली हुई जगह) को बन्द करे और बज़्ज़ाज़ अबू जुहैफ़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि जो सफ़ की कुशादगी बन्द करे उसकी मग़फ़िरत हो जायेगी।

हदीस न.35 :– अबू दाऊद व इब्ने माजा उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रावी कि फ़रमाते हैं अल्लाह और उसके फ़रिश्ते सफ़ के दाहिने वालों पर दुरूद भेजते हैं।

हदीस न.36 :– तबरानी कबीर में इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो मस्जिद के बायें जानिब को इसलिये आबाद करे कि उधर लोग कम हैं उसे दूना सवाब है।

हदीस न.37 :– मुस्लिम व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मर्दों की सब सफ़ों में बेहतर पहली सफ़ है और सब में कम तर पिछली और औरतों की सब सफ़ों में बेहतर पिछली है और कमतर पहली।

हदीस न.38, व 39 :– अबू दाऊद व इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हब्बान उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा से और मुस्लिम व अबू दाऊद व नसई व इब्ने माजा अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआ़आ अ़न्हुमा से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम हमेशा सफ़े अव्वल से लोग पीछे होते रहेंगे यहाँ तक कि अल्लाह तआ़ला उन्हें अपनी रहमत से पीछे कर के नार(दोज़ख़)में डाल देगा।

हदीस न.40 :– अबू दाऊद अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी फ़रमाते हैं सफ़े मुक़द्दम (पहली सफ़) को पूरा करो फिर उसको जो उसके बाद हो अगर कुछ कमी हो तो पिछली में हो।

हदीस न.41 :– अबू दाऊद अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम औरत का दालान में नमाज़ पढ़ना सहन में पढ़ने से बेहतर है और कोठरी में दालान से बेहतर है।

हदीस न.42 :– तिर्मिज़ी अबू मूसा अशअ़री रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम हर आँख ज़िना करने वाली है (यानी जो अजनबी की तरफ़

नज़र करे) और बेशक औरत इत्र लगाकर मजलिस में जाये तो ऐसी और ऐसी है यानी ज़ानिया है अबू दाऊद व नसई में भी इसी के मिस्ल है।

हदीस न.43 :– सही मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम में से अक़्लमन्द लोग मेरे क़रीब हों फिर वह जो उनके क़रीब हों (इसे तीन बार फरमाया) और बाज़ारों की चीख़ पुकार से बचो।

अहकामे फ़िक़्हिय्या

आक़िल, बालिग़, हुर, क़ादिर पर जमाअत वाजिब है बिला उज़्र एक बार भी छोड़ने वाला गुनहगार और सज़ा का मुस्तहिक़ है और कई बार तर्क करे तो फ़ासिक़ मर्दूदुश्शहादत यानी जिसकी शरीअत में गवाही क़बूल नहीं और उसको सख़्त सज़ा दी जायेगी अगर पड़ोसी ख़ामोश रहे तो वह भी गुनहगार हुए। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार जि. 1 स 372)

मसअला :– जुमा व ईदैन में जमाअत शर्त है और तरावीह में सुन्नते किफ़ाया कि मुहल्ले के सब लोगों ने तर्क की तो सब ने बुरा किया और कुछ लोगों ने क़ाइम कर ली तो बाक़ियों के सर से जमाअत साक़ित हो गई और रमज़ान के वित्र में मुस्तहब है नवाफ़िल और रमाज़न के अलावा वित्र में अगर तदाई के तौर पर हो तो मकरूह है। तदाई के यह मअ़ना हैं कि तीन से ज़्यादा मुक़तदी हों। सूरज गहन में जमाअत सुन्नत है और चाँद गहन में तदाई के साथ मकरूह।(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जमाअत में मशग़ूल होना कि उसकी कोई रकअ़त फ़ौत न हो वुज़ू में तीन–तीन बार आज़ा (हाथ पाँव वग़ैरा) धोने से बेहतर है और तीन–तीन बार आज़ा धोना तकबीरे ऊला (वह तकबीर जिससे नमाज़ शुरू हो जाती है) पाने से बेहतर यानी अगर वुज़ू में तीन–तीन बार आज़ा धोता है तो रकअ़त जाती रहेगी तो अफ़ज़ल यह है कि तीन तीन बार न धोये और रकअ़त न जाने दे और अगर जानता है कि रकअ़त तो मिल जायेगी मगर तकबीरे ऊला न मिलेगी तो तीन–तीन बार धोये। (सग़ीरी स. 36)

मसअला :– मस्जिदे मुहल्ला में जिसके लिये इमाम मुक़र्रर हो इमामे मुहल्ला ने अज़ान व इक़ामत के साथ सुन्नत तरीक़े पर जमाअत पढ़ ली हो तो अज़ान व इक़ामत के साथ पहली हालत पर दोबारा जमाअत क़ाइम करना मकरूह है और अगर बे–अज़ान दूसरी जमाअत हुई हो तो हरज नहीं जबकि मेहराब से हट कर हो और अगर पहली जमाअत बग़ैर अज़ान हुई या आहिस्ता अज़ान हुई या ग़ैरों ने जमाअत क़ाइम की तो फिर जमाअत क़ाइम की जाये और यह जमाअत दूसरी जमाअत न होगी हैअ़त बदलने के लिये इमाम का मेहराब से दाहिने या बायें हट कर खड़ा होना काफ़ी है शारए आम की मस्जिद (आम रास्ते की मस्जिद जैसे सराए,स्टेशन वग़ैरा की)जिसमें लोग जमाअत जमाअत आते और पढ़कर चले जाते हैं यानी उस के नमाज़ी मुक़र्रर न हों उसमें अगर्चे अज़ान व इक़ामत के साथ जमाअते सानिया(दूसरी जमाअत)क़ाइम की जाये कोई हरज नहीं बल्कि यही अफ़ज़ल है कि जो गिरोह आये नई अज़ान व इक़ामत से जमाअत करे,यूँही स्टेशन व सराए की मस्जिदें। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार वग़ैराहुमा)

मसअ्ला :— जिस की जमाअ्त जाती रही उस पर यह वाजिब नहीं कि दूसरी मस्जिद में जमाअ्त तलाश कर के पढ़े,हाँ मुस्तहब है अलबत्ता जिसकी मस्जिदे ह़रम शरीफ की जमाअ्त फ़ौत हुई उस पर मुस्तहब भी नहीं कि दूसरी जगह तलाश करे। (दुर्रे मुख़्तार जि.1 स. 373)

जमाअ्त छोड़ने के उ़ज़्र हैं

मसअ्ला :— 1—मरीज़ जिसे मस्जिद तक जाने में दुश्वारी हो। 2—अपाहिज। 3—जिसका पाँव कट गया हो। 4—जिस पर फ़ालिज गिरा हो। 5—इतना बूढ़ा कि मस्जिद तक जाने से आ़जिज़ है। 6—अंधा अगर्चे अंधे के लिये कोई ऐसा हो जो हाथ पकड़ कर मस्जिद तक पहुँचा दे। 7—सख़्त बारिश। 8—और रास्ता में बहुत कीचड़ का होना। 9—सख़्त सर्दी। 10—सख़्त तारीकी (अँधेरा) 11—सख़्त आँधी। 12—माल या खाने के तलफ़(बार्बाद) होने का ख़ौफ़ हो। 13—कर्ज़ख़्वाह का ख़ौफ़ है और यह तंगदस्त है। 14—ज़ालिम का ख़ौफ़। 15—पाख़ाना की ह़ाजते शदीद हो। 17—रीह़ (गैस) की ह़ाजते शदीद हो। 18—खाना ह़ाज़िर है और नफ़्स को उसकी ख्वाहिश हो। 19—क़ाफ़िला चले जाने का अन्देशा हो। 20—मरीज़ की तीमारदारी (देखभाल) कि जमाअ्त लिये जाने से उसको तकलीफ़ होगी और घबरायेगा। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 स.371)

मसअ्ला :— औ़रतों को किसी नमाज़ में जमाअ्त की ह़ाज़िरी जाइज़ नहीं। दिन की नमाज़ हो या रात की, जुमा हो या ईदैन ख़्वाह वह जवान या बुढ़िया वाज़ की मजलिसों में भी जाना नाजाइज़ है (दुर्रेमुख़्तार 1—380)

मसअ्ला :— अकेला मुक़तदी मर्द, अगर्चे(नाबालिग़) लड़का हो इमाम के बराबर दाहिनी जानिब खड़ा हो बायीं त़रफ़ या पीछे खड़ा होना मकरूह है। दो मुक़तदी हों तो पीछे खड़े हों बराबर खड़ा होना मकरूहे तनज़ीही है। दो से ज़ाइद का इमाम के बराबर खड़ा होना मकरूहे तह़रीमी। (दुर्रे मुख़्तार 1—381)

मसअ्ला :— दो मुक़तदी हैं एक मर्द और एक लड़का तो दोनों पीछे खड़े हों अगर अकेली औ़रत मुक़तदी है तो पीछे खड़ी हो। ज़्यादा औ़रतें हों जब भी यही हुक्म है। दो मुक़तदी हों एक मर्द एक औ़रत तो मर्द बराबर खड़ा हो और औ़रत पीछे। दो मर्द हों एक औ़रत तो मर्द इमाम के पीछे खड़े हों और औ़रत मुक़तदियों के पीछे। (आ़लमगीरी,1—83 बहर1—352)

मसअ्ला :— एक शख़्स इमाम के बराबर खड़ा हुआ और पीछे सफ़ है तो मकरूह है। (दुर्रेमुख़्तार1—381)

मसअ्ला :— इमाम के बराबर खड़े होने के यह मअ्ना हैं कि मुक़तदी का क़दम इमाम से आगे न हो यानी उसके पाँव का गट्टा इमाम के गट्टे से आगे न हो सर के आगे पीछे होने का कुछ एअ्तिबार नहीं तो अगर इमाम के बराबर खड़ा हुआ और चूँकि मुक़तदी इमाम से दराज़ क़द है लिहाज़ा सजदे में मुक़तदी का सर इमाम से आगे होता है मगर पाँव का गट्टा गट्टे से आगे न हो तो ह़र्ज नहीं,यूँही अगर मुक़तदी के पाँव बड़े हों कि उंगलियाँ इमाम से आगे हैं जब भी ह़रज नहीं जबकि गट्टा आगे न हो। (रद्दुल मुह़तार जि.1 स.381)

मसअ्ला :— इशारे से नमाज़ पढ़ना हो तो क़दम की मुह़ाज़ात (मुक़ाबिल होना)मोअ्तबर नहीं बल्कि शर्त यह है कि इसका सर इमाम के सर से आगे न हो अगर्चे मुक़तदी का क़दम इमाम से आगे हो

ख़्वाह इमाम रुकू व सुजूद से पढ़ता हो या इशारे से बैठकर या लेट कर किब्ले की तरफ़ पाँव फैलाकर और अगर इमाम करवट पर लेट कर इशारे से पढ़ता हो तो सर की मुहाज़ात नहीं ली जायेगी बल्कि शर्त यह है कि मुक़तदी इमाम के पीछे लेटा हो (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मुक़तदी अगर एक क़दम पर खड़ा है तो मुहाज़ात में उसी क़दम का एअ्तिबार है और दोनों पाँव पर खड़ा हो अगर एक बराबर है और एक पीछे तो सही है और एक बराबर है और एक आगे तो नमाज़ सही न होना चाहिये। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– एक शख़्स इमाम के बराबर खड़ा था फिर एक और आया तो इमाम आगे बढ़ जाये और वह आने वाला उस मुक़तदी के बराबर खड़ा हो जाये या वह मुक़तदी पीछे हट आये, ख़ुद या आने वाले ने उसको खींचा ख़्वाह तकबीर के बाद या पहले यह सब सूरतें जाइज़ हैं जो हो सके करे और सब मुमकिन हैं तो इख़्तियार है मगर मुक़तदी जब कि एक हो तो उसका पीछे हटना अफ़ज़ल है और दो हों तो इमाम को आगे बढ़ना अफ़ज़ल है। अगर मुक़तदी के कहने से इमाम आगे बढ़ा या मुक़तदी पीछे हटा इस नियत से कि यह कहता है इसकी मानो तो नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी हाँ अगर शरीअ़त के हुक्म पर अ़मल करने की नियत से हटा तो कुछ हरज नहीं।(दुर्रे मुख़्तार जि.1स.382)

मसअ्ला :– मर्द और बच्चे और ख़ुन्सा (हिजड़ा)और औ़रतें जमा हों तो सफ़ों की तरतीब यह है कि पहले मर्दों की सफ़ हो फ़िर बच्चों की फिर ख़ुन्सा की फिर औ़रतों की और बच्चा तन्हा हो तो मर्दों की सफ़ में दाख़िल हो जाये। (दुर्रे मुख़्तार जि.1 स.384)

मसअ्ला :– सफ़ें मिलकर खड़ी हों कि बीच में कुशादगी (ख़ाली जगह)न रह जाये और सब के मोंढे बराबर हों। (दुर्रे मुख़्तार जि.1 स.382)

मसअ्ला :– इमाम को चाहिये कि वस्त (बीच) में खड़ा हो अगर दाहिनी या बायीं जानिब खड़ा हुआ तो ख़िलाफ़े सुन्नत किया। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– मर्दों की पहली सफ़ कि इमाम से क़रीब है दुसरी से अफ़ज़ल है और दूसरी तीसरी से और इसी तरह आख़िरी सफ़ तक समझ लो (आ़लमगीरी) मुक़तदी के लिये अफ़ज़ल जगह यह है कि इमाम से क़रीब हो और दोनों तरफ़ बराबर हो तो दाहिनी तरफ़ अफ़ज़ल है।(आ़लमगीरी जि. 1 स. 83)

मसअ्ला :– सफ़े मुक़द्दम का अफ़ज़ल होना (यानी आगे की सफ़ों का अफ़ज़ल होना)ग़ैर जनाज़ा में है और जनाज़े की नमाज़ में आख़िरी सफ़ अफ़ज़ल है (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 स. 383)

मसअ्ला :– इमाम को सुतूनों के दरमियान खड़ा होना मकरूह है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– पहली सफ़ में जगह हो और पिछली सफ़ भर गई हो तो उस को चीर कर जाये और उस ख़ाली जगह में खड़ा हो उस के लिये ह़दीस में फ़रमाया कि जो सफ़ में कुशादगी देख कर उसे बन्द कर दे उसकी मग़फ़िरत हो जायेगी। (आ़लमगीरी) और यह वहाँ जहाँ फितना फ़साद का ख़तरा न हो।

मसअ्ला :– सहने मस्जिद में जगह होते हुए बाला ख़ाना पर इक़्तिदा करना मकरूह है। यूँही सफ़ में जगह होते हुये सफ़ के पीछे खड़ा होना मना है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :– औरत अगर मर्द के मुहाज़ी (बराबर)हो तो मर्द की नमाज़ जाती रहेगी इसके लिये चन्द शर्तें हैं 1. औरत मुशतहात हो यानी इस काबिल हो कि उस से जिमा हो सके अगर्चे नाबालिग़ा हो और मुशतहात में उम्र का एअ्तिबार नहीं नौ बरस की हो या उस से कुछ कम की जब कि उसका जुस्सा (जिस्म) इस काबिल हो कि इस से जिमा–किया जा सके और अगर इस काबिल नहीं तो नमाज़ फ़ासिद न होगी अगर्चे नामज़ पढ़ना जानती हो बुढ़िया भी इस मसअ्ले में मुशतहात के हुक्म में है वह औरत अगर उसकी ज़ौजा (बीवी)हो या महारिम (सगी बहन बेटी वग़ैरा)में हो जब भी नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी। (2) कोई चीज़ उंगली बराबर मोटी और एक हाथ उँची हाइल न हो न दोनों के दरमियान इतनी जगह ख़ाली हो कि एक मर्द खड़ा हो सके न औरत इतनी बलन्दी पर हो कि मर्द के बदन का कोई हिस्सा उस औरत के बदन के किसी हिस्से के बराबर हो। (3)रूकू सुजूद वाली नमाज़ में यह मुहाज़ात वाकेअ् हो। अगर नमाज़े जनाज़ा में मुहाज़ात हुई तो नमाज़ फ़ासिद न होगी। (4) वह नमाज़ दोनों में तकबीरे तहरीमा के एअ्तिबार से शामिल हो यानी औरत ने उसकी इक्तिदा की हो या दोनों ने किसी इमाम की अगर्चे शुरू से शिरकत न हो तो अगर दोनों अपनी–अपनी पढ़ते हों तो फ़ासिद न होगी मकरूह होगी। (5) अदा में मुशतरक (शामिल) हों कि उस में मर्द उसका इमाम हो या उन दोनों का कोई दूसरा इमाम हो जिसके पीछे अदा कर रहे है हक़ीक़त में या हुक्म में मसलन दोनों लाहिक़ हों कि इमाम के फ़ारिग़ होने के बाद अगर्चे इमाम के पीछे नहीं मगर हुक्मन इमाम के पीछे ही हैं और मसबूक़ इमाम के पीछे न हक़ीक़तन है न हुक्मन बल्कि वह मुनफ़रिद है। (6)दोनों एक ही जेहत (दिशा)में नमाज़ पढ़ रहे हों अगर जेहत बदल जाये जैसे रात के अँधेरे में कि पता न चलता हो एक तरफ़ इमाम का मुँह है और दूसरी तरफ़ मुक़्तदी का या क़ाबा मुअ़ज़्ज़मा में नमाज़ पढ़ी और जेहत बदल गई हो नमाज़ हो जायेगी।(7)औरत आक़िला हो मजनूना (पागल औरत) कि मुहाज़ात (बराबर में खड़ा होने)में नमाज़ फ़ासिद न होगी (8)इमाम ने औरतों की इमामत की नियत कर ली हो अगर्चे शुरू करते वक़्त औरतें शरीक न हों और अगर औरतों की इमामत की नियत न हो तो औरत ही की फ़ासिद होगी मर्द की नहीं (9)इतनी देर तक मुहाज़ात रहे कि एक पूरा रुक्न आदा हो जाये यानी बक़द्रे तीन तस्बीह के मुहाज़ात रहे। (10)दोनों नमाज़ पढ़ना जानते हों। (11) मर्द आक़िल बालिग़ हो।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल जि.1 स. 385 मुहतार,आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– मर्द के शुरू करने के बाद औरत आकर बराबर खड़ी हो गई और उसने इमामते औरत की नियत भी कर ली है मगर शरीक होते ही पीछे हटने को इशारा किया मगर न हटी तो औरत की नमाज़ जाती रहेगी मर्द की नहीं यूँही अगर मुक़्तदी के बराबर खड़ी हुई और इशारा कर दिया और न हटी तो औरत ही की नमाज़ फ़ासिद होगी (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– खुन्सा मुश्किल के बराबर में खड़े होने से नमाज़ फ़ासिद नहीं होगी(आलमगीरी स. 1 जि. 48)

मसअ्ला :– अमरद खुबसूरत मुशतही यानी वह खुबसूरत लड़का जिसके अभी दाढ़ी मूंछ नहीं निकली और बालिग़ होने के क़रीब है और जिसे देख कर शहवत का अन्देशा हो उसके मर्द के बराबर खड़े होने से नमाज़ फ़ासिद नहीं होगी (दुर्रेमुख़्तार जि. 1 पेज 388)

मसअ्ला :– मुक़्तदीं की चार किस्में हैं (1) **मुदरिक** (2)**लाहिक़** (3) **मस्बूक़** (4) **लाहिक़ मसबूक़** **मुदरिक** उसे कहते है जिसने अव्वल रकअ्त से तशहहुद तक इमाम के साथ पढ़ी अगर्चे पहली रकअ्त में इमाम के साथ रूकू ही में शरीक हुआ हो **लाहिक़** वह कि इमाम के साथ पहली रकअ्त में इक़्तिदा की मगर बादे इक़्तिदा उसकी कुल रकअ्तें या बाज़ फ़ौत हो गईं ख़्वाह उ़ज़्र से फ़ौत हों जैसे ग़फ़लत या भीड़ की वजह से रूकू सुजूद करने न पाया या नमाज़ में उसे ह़दस हो गया या मुक़ीम ने मुसाफ़िर के पीछे इक़्तिदा की या नमाज़े ख़ौफ़ में पहले गिरोह को जो रकअ्त इमाम के साथ न मिली ख़्वाह बिला उ़ज़्र फ़ौत हों जैसे इमाम से पहले रूकू सुजूद कर लिया फिर उसका इआ़दा भी न किया तो इमाम की दूसरी रकअ्त उसकी पहली रकअ्त होगी और तीसरी दूसरी चौथी तीसरी और आख़िर में एक रकअ्त पढ़नी होगी **मसबूक़** वह है कि इमाम के बाज़ रकअ्तें पढ़ने के बाद शामिल हुआ और आख़िर तक शामिल रहा **लाहिक़ मसबूक़** वह है जिसकी कुछ रकअ्तें शुरू की न मिली फिर शामिल होने के बाद लाहिक़ होगया।

मसअ्ला :– लाहिक़ मुदरिक के हुक्म में है कि जब अपनी फ़ौत शुदा (छूटी हुई रकअ्त) पढ़ेगा तो उसमें न क़िरात करेगा न सहव (भूल) हो जाने से सजदए सहव करेगा और अगर मुसाफ़िर था तो नमाज़ में इक़ामत की नियत से उसका फ़र्ज़ न बदलेगा कि दो से चार हो जाये और अपनी छूटी हुई रकअ्तों को पहले पढ़ेगा। यह न होगा कि इमाम के साथ पढ़े फिर जब इमाम फ़ारिग़ हो जाये तो अपनी पढ़े मसलन इस को ह़दस हुआ और वुज़ू कर के आया तो इमाम को क़अ्दा अख़ीरा में पाया तो यह क़ादा में शरीक न होगा बल्कि जहाँ से बाक़ी है वहाँ से पढ़ना शुरू करे। इसके बाद अगर इमाम को पा ले तो साथ हो जाये और अगर ऐसा न किया बल्कि साथ हो लिया फिर इमाम के सलाम फेरने के बाद फ़ौत शुदा पढ़ी तो हो गई मगर गुनाहगार हुआ। (दुर्रे मुख़्तार जि.1स. 400)

मसअ्ला :– तीसरी रकअ्त में सो गया और चौथी में जागा तो उसे हुक्म है कि पहले तीसरी बिला क़िरात पढ़े फिर अगर इमाम को चौथी में पाये तो साथ हो ले वर्ना उसे भी बिला क़िरात तन्हा पढ़े और ऐसा न किया बल्कि चौथी इमाम के साथ पढ़ ली फिर बाद में तीसरी पढ़ी तो हो तो गई मगर गुनाहगार हुआ। (रद्दुलमुह्तार जि.1 स. 400)

मसअ्ला :– मसबूक़ के अह्काम इन उमूर(बातों) में लाहिक़ के ख़िलाफ़ हैं कि पहले इमाम के साथ हो ले फिर इमाम के सलाम फेरने के बाद अपनी फ़ौतशुदा (छूटी हुई)पढ़े और अपनी फ़ौतशुदा में क़िरात करेगा और उस में सहव हो तो सजदए सहव करेगा और इक़ामत की नियत से फ़र्ज़ मुतग़य्यर होगा यानी बदल जायेगा। (रद्दुल मुह्तार जि. 1 स. 400)

मसअ्ला :– मसबूक़ अपनी फ़ौतशुदा की अदा में मुनफ़रिद है कि पहले सना न पढ़ी थी इस वजह से कि इमाम बलन्द आवाज़ से क़िरात कर रहा था या इमाम रुकू में था और यह सना पढ़ता तो इसे रुकू न मिलता या इमाम क़अ्दा में था ग़र्ज़ किसी वजह से पहले न पढ़ी थी तो अब पढ़े और क़िरात से पहले तअ़व्वुज़ यानी अऊज़ुबिल्लाह पढ़े।(आलमगीरी, जि.1 स.85 दुर्रे मुख़्तार जि. 1 स. 401)

मसअ्ला :– मसबूक़ ने अपनी फ़ौतशुदा पढ़कर इमाम की मुताबअ़त(इत्तिबा) की तो नमाज़ फ़ासिद

हो गई। (दुर्रे मुख़्तार जि.1 स. 401)

मसअला :– मसबूक़ ने इमाम को क़ादे में पाया तो तकबीरे तहरीमा सीधे खड़े होने की हालत में करे फिर दूसरी तकबीर कहता हुआ कअ़्दा में जाये (आलमगीरी जि.1 स 85) रुकू व सुजूद में पाये जब भी यूँही करे अगर पहली तकबीर कहता हुआ झुका और हद्दे रुकू तक पहुँच गया तो सब सूरतों में नमाज़ न होगी।

मसअला :– मसबूक़ ने जब इमाम के फ़ारिग़ होने के बाद अपनी शुरू की तो क़िरात के हक़ में यह रकअ़त अव्वल रकअ़त क़रार दी जायेगी और तशह्हुद (अत्तहीय्यात) के हक़ में पहली नहीं बल्कि दूसरी, तीसरी, चौथी जो शुमार में आये मसलन तीन या चार रकअ़त वाली नमाज़ में एक इसे मिली तो तशह्हुद के हक़ में यह जो अब पढ़ता है दूसरी है। लिहाज़ा एक रकअ़त फ़ातिहा व सूरत के साथ पढ़ कर कअ़्दा करे और अगर वाजिब यानी फ़ातिहा या सूरत मिलाना तर्क किया तो अगर क़स्दन है इआ़दा (लौटाना) वाजिब है और सहवन हो तो सजदए सहव वाजिब है फिर उसके बाद वाली में भी फ़ातिहा के साथ सूरत मिलाये और उसमें न बैठे फिर उसके बाद वाली में फ़ातिहा पढ़कर रुकू कर दे और तशह्हुद (अत्तहीय्यात)वग़ैरा पढ़कर ख़त्म कर दे। दो मिली हैं दो जाती रहीं तो इन दोनों में क़िरात करे एक में भी फ़र्ज़े क़िरात तर्क किया नमाज़ न हुई। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– चार बातों में मसबूक़ मुक़तदी के हुक्म में है :–

(1)मसबूक़ की इक़्तिदा नहीं की जा सकती मगर इमाम उसे अपना ख़लीफ़ा बना सकता है। मगर ख़लीफ़ा होने के बाद सलाम न फेरेगा उसके लिये दूसरे को ख़लीफ़ा बनायेगा। (2)बिला इख़्तिलाफ़ तकबीराते तशरीक़ कहेगा यानी वह तकबीरें जो नौवीं ज़िलहिज्जा की फ़ज्र से तेरहवीं ज़िलहिज्जा की अ़स्र तक जमाअ़त के बाद कही जाती हैं उसे **'तकबीराते तशरीक़'** कहते हैं। (3)मसबूक़ अगर नये सिरे से नमाज़ पढ़ने और उस नमाज़ के क़ता करने यानी बीच में तोड़ने की नियत से तकबीर कहे तो नमाज़ क़ता हो जायेगी ब ख़िलाफ़ मुन्फ़रिद के कि उस की नमाज़ क़ता न होगी। (4) मसबूक़ अपनी फ़ौतशुदा (छूटी हुई रकअ़तें) पढ़ने के लिये खड़ा हो गया और इमाम को सजदए सहव करना है अगर्चे उसकी इक़्तिदा के पहले तर्क वाजिब हुआ हो तो उसे हुक्म है कि लौट आये अगर अपनी रकअ़त का सजदा न कर चुका हो और न लौटा तो आख़िर में यह दो सजदए सहव करे। (दुर्रेमुख़्तार जि. 1 स. 401)

मसअला :– मस्बूक़ को चाहिए कि इमाम के सलाम फेरते ही फ़ौरन खड़ा न हो जाये बल्कि इतनी देर सब्र करे कि मालूम हो जाये कि इमाम को सजदए सहव नहीं करना है। मगर जब कि वक़्त में तंगी हो। (दुर्रे मुख़्तार जि.1 स 401)

मसअला :– इमाम के सलाम फेरने से पहले मसबूक़ खड़ा हो गया तो अगर इमाम के बक़द्र तशह्हुद(अत्तहीय्यात पढ़ने के बराबर) बैठने से पहले खड़ा हो गया तो जो कुछ इससे पहले अदा कर चुका उसका शुमार नहीं मसलन इमाम के क़द्र तशह्हुद बैठने से पहले यह क़िरात से फ़ारिग़ हो गया तो यह क़िरात काफ़ी नहीं और नमाज़ न हुई और बाद में भी बक़द्रे ज़रूरत पढ़ लिया तो

हो जायेगी और अगर इमाम के बक़द्रे तशह्हुद बैठने के बाद और सलाम से पहले खड़ा हो गया तो जो अरकान अदा कर चुका उनका एअ्तिबार होगा मगर बग़ैर ज़रूरत सलाम से पहले खड़ा होना मकरूहे तह़रीमी है फिर अगर इमाम के सलाम से पहले फ़ौतशुदा(छूटी हुई) अदा कर ली और सलाम में इमाम का शरीक हो गया तो भी सही हो जायेगी और क़अ्दा व तशह्हुद में मुताबअ़त करेगा तो फ़ासिद हो जायेगी। (दुर्रेमुख़्तार जि. 1 स. 402)

मसअ्ला :– इमाम के सलाम से पहले मसबूक़ किसी उ़ज़्र की वजह से खड़ा हो गया मसलन सलाम के इन्तिज़ार में ह़दस (वुज़ू टूटने) का ख़ौफ़ हो या फ़ज्र व जुमा व ईदैन के वक़्त ख़त्म हो जाने का अन्देशा है या वह मसबूक़ माज़ूर है और वक़्ते नमाज़ ख़त्म होने का गुमान है या मोज़े पर मसह किया है और मसह की मुद्दत पूरी हो जायेगी तो इन सब सूरतों में कराहत नहीं। (दुर्रेमुख़्तार जि.1 स. 402)

मसअ्ला :– अगर इमाम से नमाज़ का कोई सजदा रह गया और मसबूक़ के खड़े होने के बाद याद आया तो उसमें मसबूक़ को इमाम की मुताबअ़त(इत्तिबा)फ़र्ज़ है अगर न लौटा तो मसबूक़ की नमाज़ ही न हुई और अगर इस सूरत में रकअ़त पूरी करके मसबूक़ ने सजदा भी कर लिया है तो मुतलक़न नमाज़ न होगी अगर्चे इमाम की मुताबअ़त करे। अगर इमाम को सजदए सहव या सजदए तिलावत करना है और उसने अपनी रकअ़त का सजदा कर लिया तो अगर मुताबअ़त करेगा फ़ासिद हो जायेगी वर्ना नहीं। (दुर्रेमुख़्तार जि. 1 स 402)

मसअ्ला :– मसबूक़ ने इमाम के साथ क़स्दन (जानबूझ कर) सलाम फेरा यह ख़्याल करके कि मुझे भी इमाम के साथ सलाम फेरना चाहिये नमाज़ फ़ासिद हो गई और भूल कर सलाम फेरा तो अगर इमाम के ज़रा बाद सलाम फेरा तो सजदए सहव लाज़िम है और अगर बिल्कुल साथ–साथ फेरा तो नहीं। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुह्तार जि1 स 402)

मसअ्ला :– भूल कर इमाम के साथ सलाम फेर दिया फिर गुमान कर के कि नमाज़ फ़ासिद हो गई नये सिरे से पढ़ने की नियत से अल्लाहु अकबर कहा तो अब फ़ासिद हो गई।(आलमगीरी जि.1स 86)

मसअ्ला :– इमाम क़अ्दए अख़ीरा के बाद भूल कर पाँचवीं रकअ़त के लिये उठा अगर मसबूक़ इमाम की क़स्दन मुताबअ़त करे नमाज़ जाती रहेगी और अगर इमाम ने क़अ्दए अख़ीरा न किया था तो जब तक पाँचवीं रकअ़त का सजदा न कर लेगा फ़ासिद न होगी। (दुर्रे मुख़्तार, जि.1 स402)

मसअ्ला :– इमाम ने सजदए सहव किया मसबूक़ ने उसकी मुताबअ़त की जैसा कि उसे हुक्म है फिर मालूम हुआ कि इमाम पर सजदए सहव न था मसबूक़ की नमाज़ फ़ासिद हो गई।(दुर्रे मुख़्तार जि.1स 402)

मसअ्ला :– दो मसबूक़ों ने एक ही रकअ़त में इमाम की इक़्तिदा की फिर जब अपनी पढ़ने लगे तो एक को अपनी रकअ़तें याद न रहीं दूसरे को देख–देख कर जितनी उसने पढ़ीं इसने भी पढ़ीं अगर उसकी इक़्तिदा की नियत न की तो नमाज़ हो गई। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 स 40)

मसअ्ला :– लाह़िक़ मसबूक़ का हुक्म यह है कि जिन रकअ़तों में लाह़िक़ है उनको इमाम की तरतीब से पढ़े और उनमें लाह़िक़ के अह़काम जारी होंगे। उनके बाद इमाम के फ़ारिग़ होने के बाद जिन में मसबूक़ है वह पढ़े और इनमें मसबूक़ के अह़काम जारी होंगे मसलन चार रकअ़त वाली नमाज़ की दूसरी रकअ़त में मिला फिर दो रकअ़तों में सोता रह गया तो पहले यह रकअ़तें जिन में

सोता रहा बग़ैर किरात अदा करे सिर्फ़ इतनी देर ख़ामोश खड़ा रहे जितनी देर में सूरए फ़ातिहा पढ़ी जाती फिर इमाम के साथ जो कुछ मिल जाये उसमें मुताबअ़त करे फिर वह फ़ौतशुदा किरात के साथ पढ़े। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 स 400)

मसअ्ला :– दो रकअ़तों में सोता रहा और एक में शक है कि इमाम के साथ पढ़ी है या नहीं तो इसको आख़िर नमाज़ में पढ़े। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– कअ़्दए ऊला में इमाम तशह्हुद(अत्तहीय्यात) पढ़कर खड़ा हो गया और बाज़ मुक़तदी तशह्हुद पढ़ना भूल गये वह भी इमाम के साथ खड़े हो गये तो जिसने तशह्हुद नहीं पढ़ा था वह बैठ जाये और तशह्हुद पढ़कर इमाम की मुताबअ़त करे अगर्चे रकअ़त फ़ौत हो जाये। (आलमगीरी जि. 1 स 84) रुकू या सजदे से इमाम के पहले मुक़तदी ने सर उठा लिया तो उसे लौटना वाजिब है और यह दो रुकू दो सजदे नहीं होंगे। (आलमगीरी जि.1 स 84)

मसअ्ला :– इमाम ने तवील (लम्बा) सजदा किया मुक़तदी ने सर उठाया और यह ख़्याल किया कि इमाम दूसरे सजदे में है इसने भी उसके साथ सजदा किया तो अगर सजदए ऊला (पहले सजदे)की नियत की या कुछ नियत न की या सजदए सानिया (दूसरे सजदे) और मुताबअ़त की नियत की तो ऊला हुआ और अगर सिर्फ़ सानिया की नियत की तो सानिया हुआ फिर अगर वह इसी सजदे में था कि इमाम ने भी सजदा किया और मुशारकत हो गई यानी शरीक हो गया तो जाइज़ है और इमाम के दूसरा सजदा करने से पहले अगर इस ने सर उठा लिया तो जाइज़ न हुआ और इस पर उस सजदे का दोहराना ज़रूरी है अगर सजदा नहीं दोहरायेगा नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी। (आलमगीरी जि. 1 स 84)

मसअ्ला :– मुक़तदी ने सजदा तवील किया यहाँ तक कि इमाम पहले सजदे से सर उठाकर दूसरे में गया अब मुक़तदी ने सर उठाया और यह गुमान किया कि इमाम अभी पहले ही सजदे में है और सजदा किया तो यह दूसरा सजदा होगा अगर्चे सिर्फ़ पहले ही सजदे की नियत की हो।(आलमगीरी जि.1 स 84)

मसअ्ला :– पाँच चीज़ें वह हैं कि इमाम छोड़ दे तो मुक़तदी भी न करे और इमाम का साथ दे(1)तकबीराते ईदैन(2) कअ़्दए ऊला(3) सजदए तिलावत(4) सजदए सहव(5) कुनूत जबकि रुकू फ़ौत होने का अन्देशा हो वर्ना पढ़कर रुकू करे(आलमगीरी जि.1 स 84 सग़ीरी स 269) मगर कअ़्दए ऊला न किया और अभी सीधा खड़ा न हुआ तो मुक़तदी अभी उसके तर्क में मुताबअ़त इमाम की न करे बल्कि उसे बताये ताकि वह वापस आये अगर वापस आ गया तो ठीक और अगर सीधा खड़ा हो गया तो अब न बताये कि नमाज़ जाती रहेगी बल्कि खुद भी कअ़्दा छोड़ दे और खड़ा हो जाये।

मसअ्ला :– चार चीज़ें वह हैं कि इमाम करे तो मुक़तदी उसका साथ न दें (1) नमाज़ में कोई ज़ाइद सजदा किया। (2) तकबीराते ईदैन में अक़वाले सहाबा पर ज़्यादती की। (3) नमाज़े जनाज़ा में पाँच तकबीरें कहीं फिर इस सूरत में अगर कअ़्दए अख़ीरा कर चुका है तो मुक़तदी इसका इन्तिज़ार करे अगर पाँचवीं के सजदे से पहले लौट आया तो मुक़तदी भी उसका साथ दे उसके साथ सजदए सहव करे और अगर पाचँवीं का सजदा कर लिया तो मुक़तदी तन्हा सलाम फेर ले और अगर कअ़्दए अख़ीरा नहीं किया था पाँचवी रकअ़त का सजदा कर लिया तो सब की नमाज़

फ़ासिद हो गई अगर्चे मुक़तदी ने तशह्हुद (अत्तहीय्यात) पढ़कर सलाम फेर लिया हो।(आलमगीरी जि.1 स 85)

मसअ्ला :– नौ चीज़ें हैं कि इमाम अगर न करे तो मुक़तदी उसकी पैरवी न करे बल्कि पूरी करे। (1) तकबीरे तहरीमा में हाथ उठाना। (2) सना पढ़ना जबकि इमाम फ़ातिहा में हो और आहिस्ता पढ़ता हो। (3) रुकू (4)और सुजूद (सजदों) की तकबीरात (5) और तस्बीहात(6)तसमीया(बिस्मिल्लाह) (7)तशह्हुद पढ़ना (8)सलाम फेरना (9) तकबीराते तशरीक़। (आलमगीरी,सग़ीरी)

मसअ्ला :– मुक़तदी ने सब रकअ्तों में इमाम से पहले रुकू सुजूद कर लिया तो एक रकअ्त बाद को बग़ैर क़िरात पढ़े। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– इमाम और मुक़्तदियों में इख़्तिलाफ़ हुआ मुक़तदी कहते हैं तीन पढ़ीं इमाम कहता है चार पढ़ीं तो अगर इमाम को यक़ीन हो इआदा न करे (नमाज़ फिर से न पढ़े) वर्ना करे और अगर मुक़तदियों में एक दूसरे में इख़्तिलाफ़ हुआ तो इमाम जिस तरफ़ है उसका क़ौल लिया जायेगा। एक शख़्स को तीन रकअ्तों का यक़ीन है और एक को चार का और बाक़ी मुक़तदियों और इमाम को शक है तो इन लोगों पर कुछ नहीं और जिसे कमी का यक़ीन है इआदा करे और इमाम का तीन रकअ्तों का यक़ीन है और एक शख़्स को पूरी होने का यक़ीन है तो इमाम व क़ौम दोबारा पढ़ें और इस यक़ीन करने वाले पर लौटाना नहीं। एक शख़्स का कमी का यक़ीन है और इमाम व जमाअ्त को शक है तो अगर वक़्त बाक़ी है इआदा करे वर्ना इनके ज़िम्मे कुछ नहीं हाँ अगर दो आदिल यक़ीन के साथ कहते हों तो बहर हाल फिर से पढ़े। (आलमगीरी)

नमाज़ में बेवुज़ू होने का बयान

अबू दाऊद उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जब कोई नमाज़ में बेवुज़ू हो जाये तो नाक पकड़े और चला जाये। इब्ने माजा व दारेक़ुतनी की रिवायत उन्हीं से है कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जिसको कै आये या नकसीर फूटे या मज़ी निकले तो चला जाये और वुज़ू करके उसी पर बिना करे यानी जहाँ से नमाज़ छोड़ी है वहाँ से शुरू करे बशर्ते कि कलाम (बातचीत) न किया हो और बहुत से सहाबए किराम मसलन सिद्दीके अकबर व फ़ारूके आज़म व मौला अ़ली व अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर व सलमान फ़ारसी और ताबेईने इ़ज़ाम मसलन अ़लक़मा व ताऊस व सालिम इब्ने अ़ब्दुल्लाह व सईद इब्ने जुबैर व शअ़्बी व इब्राहीम नख़ई व मकहूल व सईद इब्ने मुसय्यब रिदवानुल्लाहि तआ़ला अ़लैहिम अजमईन का यही क़ौल है।

अह़कामे फ़िक़्हिय्यह

नमाज़ में जिस का वुज़ू जाता रहे अगर्चे क़अ़्दए अख़ीरा में तशह्हुद के बाद सलाम से पहले हो तो वुज़ू कर के जहाँ से बाक़ी हैं वहीं से पढ़ सकता है इस को बिना कहते हैं मगर अफ़ज़ल यह है कि सिरे से पढ़े इसे इस्तीनाफ़ कहते हैं इस मसअ्ला में औरत व मर्द दोनों का एक ही हुक्म है। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– जिस रुक्न में ह़दस वाक़ेअ़ हो (वुज़ू टूटे) उसका इआदा करे यानी लौटाए।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– बिना के लिये तेरह शर्तें हैं अगर उन में एक शर्त भी न पाई जाये तो बिना जाइज़

नहीं। 1.हदस मूजिबे वुज़ू हो यानी हदस से सिर्फ़ वुज़ू टूटे 2. उसका वुजूद नादिर न हो यानी उस हदस का पाया जाना आम हो 3. वह हदसे समावी हो यानी न वह बन्दे के इख़्तियार से हो न बन्दा उसका सबब हो 4. वह हदस उसके बदन से हो (हदस यानी वह काम जिसके करने से वुज़ू जाता रहता है) 5. उस हदस के साथ कोई रुक्न ठहरा हो 7. न चलते में रुक्न अदा किया हो। 8. कोई काम नमाज़ के ख़िलाफ़ जिसकी उसे इजाज़त न थी न किया ज़रूरत बक़द्रे मनाफ़ी ज़ाइद न किया हो। 10. उस हदसे समावी के बाद कोई हदसे साबिक़ (पहले का हदस) ज़ाहिर न हुआ हो 11–हदस के बाद साहिबे तरतीब को क़ज़ा न याद आई हो। 12–मुक़तदी हो तो इमाम के फ़ारिग़ होने से पहले दूसरी जगह अदा न की हो। 13.इमाम था तो ऐसे का ख़लीफ़ा न बनाया हो जो लाइक़े इमामत नहीं। (दुर्रेमुख़्तार आलमगीरी) इन शराइत की तसरीहात आगे मसाइल में आती हैं।

मसअ्ला :– नमाज़ में मूजिबे ग़ुस्ल (ग़ुस्ल करने का सबब) पाया गया मसलन तफ़क्कुर यानी ग़ौर व फ़िक्र वग़ैरा से इन्ज़ाल हो गया यानी मनी निकल गई तो बिना नहीं हो सकती सिरे से पढ़ना ज़रूरी है। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– अगर वह हदस नादिरुल वुजूद यानी जो कभी कभी पाया जाता हो जैसे क़हक़हा (ज़ोर से हँसना) व बेहोशी व जुनून (पागलपन) तो बिना नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर वह हदस समावी न हो ख़्वाह उस मुसल्ली (नमाज़ी) की तरफ़ से हो कि क़स्दन उसने अपना वुज़ू तोड़ दिया। (मस्लन मुँह भर क़ै कर दी या नकसीर फ़ोड़ ली या फ़ुड़िया दबा दी कि उस से मवाद बहा या घुटने में फ़ुड़िया थी और सजदे में घुटने पर ज़ोर दिया कि बही) ख़्वाह दूसरे की तरफ़ से हो मसलन किसी ने इस के सर पर पत्थर मारा कि ख़ून निकल कर बह गया या किसी ने उसकी फ़ुड़िया दबा दी और उसके बदन से खून बहा वह पत्थर ख़ुद–ब–ख़ुद गिरा या किसी के चलने से तो इन सब सूरतों में सिरे से पढ़े बिना नहीं कर सकता यूँही अगर दरख़्त से फल गिरा जिससे यह ज़ख़्मी हो गया और ख़ून बहा या पाँव में काँटा चुभा या सजदे में पेशानी में चुभा और ख़ून बहा या भिड़ ने काटा और ख़ून बहा तो बिना नहीं हो सकती। (आलमगीरी,दुर्रेमुख़्तार जि.1 स 88)

मसअ्ला :– बिला इख़्तियार भर मुँह क़ै हुई तो बिना कर सकता है और क़स्दन की तो बिना नहीं कर सकता। नमाज़ में सो गया और हदस वाक़ेअ् हुआ और देर के बाद बेदार हुआ तो बिना कर सकता है और बेदारी में तवक़्क़ुफ़(देर)किया नमाज़ फ़ासिद हो गई छींक या खाँसी से हवा ख़ारिज हो गई या क़तरा आ गया तो बिना नहीं कर सकता। (आलमगीरी वग़ैरा जि. 1 स 88)

मसअ्ला :– किसी ने उस के बदन पर नजासत डाल दी या किसी तरह उस का बदन या कपड़ा एक दिरहम से ज़्यादा नजिस हो गया तो उसे पाक करने के बाद बिना नहीं कर सकता और अगर उसी हदस के सबब नजिस हुआ तो बिना कर सकता है और अगर ख़ारिज व हदस दोनों से है तो बिना नहीं हो सकती। (आलमगीरी जि 1 स 89)

मसअ्ला :– कपड़ा नापाक हो गया दूसरा पाक कपड़ा मौजूद है कि फ़ौरन बदल सकता है तो अगर फ़ौरन बदल लिया तो नमाज़ हो गई और दूसरा कपड़ा नहीं बदला या उसी हालत में एक रुक्न अदा किया या वक़्फ़ा किया नमाज़ फ़ासिद हो गई। (आलमगीरी जि.1 स 89)

मसअ्ला :– रुकू या सजदे में हदस हुआ और रुक्न अदा करने की नियत से सर उठाया यानी रुकू

से "समिअ़ल्लाहु लिमन ह़मिदा" और सजदा से "अल्लाहु अकबर" कहते हुए उठा या वुज़ू के लिये जाने या वापसी में क़िरात की तो नमाज़ फ़ासिद हो गई बिना नहीं कर सकता सुब्हानल्लाह या लाइला–ह इल्लल्लाह कहा तो बिना में ह़रज नहीं यानी बिना कर सकता है।(आलमगीरी, जि.1 स 88)

मसअ्ला :– ह़दस समावी के बाद क़स्दन ह़दस किया तो अब बिना नहीं हो सकती।(रद्दुल मुहतार जि.1स.403)

मसअ्ला :– ह़दस हुआ और बक़द्रे वुज़ू पानी मौजूद है उसे छोड़ कर दूर जगह गया बिना नहीं कर सकता यूँही बादे ह़दस कलाम किया या खाया पिया तो बिना नहीं कर सकते।(आलमगीरी,जि.1 स 89)

मसअ्ला :– वुज़ू के लिये कुँए से पानी भरना पड़ा तो बिना हो सकती है और बग़ैर ज़रूरत हो तो नहीं।

मसअ्ला :– वुज़ू करने में सत्र खुल गया या ज़रूरत से सत्र खोला मसलन औ़रत ने वुज़ू के लिए कलाई खोली तो नमाज़ फ़ासिद न होगी और बिला ज़रूरत सत्र खोला तो नमाज़ फ़ासिद हो गई मसलन औ़रत ने वुज़ू के लिये एक साथ दोनों कलाईयाँ खोल दीं तो नमाज़ गई।(आलमगीरी जि. 1 स 88)

मसअ्ला :– कुआँ नज़दीक है मगर पानी भरना पड़ेगा और रखा हुआ पानी दूर है तो अगर पानी भर कर वुज़ू किया तो सिरे से पढ़े। (आलमगीरी जि. 1 स 89)

मसअ्ला :– नमाज़ में ह़दस हुआ और उसका घर ह़ौज़ की बनिस्बत क़रीब है और घर में पानी मौजूद है मगर ह़ौज़ पर वुज़ू के लिये गया अगर ह़ौज़ व मकान में दो सफ़ से कम फ़ासला हो तो नमाज़ फ़ासिद न हुई और ज़्यादा फ़ासला हो तो फ़ासिद हो गई और अगर घर में पानी होना याद न रहा और उस की आदत भी ह़ौज़ से वुज़ू की है तो बिना कर सकता है। (आलमगीरी जि. 1 स 89)

मसअ्ला :– ह़दस के बाद वुज़ू के लिए घर गया दरवाज़ा बंद पाया उसे खोला और वुज़ू किया अगर चोर का ख़ौफ़ हो तो वापसी में बंद कर दे वर्ना खुला छोड़ दे। (आलमगीरी जि. 1 स 89)

मसअ्ला :– वुज़ू करने में सुनन व मुस्तह़ब्बात के साथ वुज़ू करे अलबत्ता अगर तीन–तीन बार की जगह चार–चार बार धोया तो सिरे से पढ़े। (आलमगीरी जि. 1 स 89)

मसअ्ला :– ह़ौज़ में जो जगह ज़्यादा नज़दीक हो वहाँ वुज़ू करे बिला उ़ज़्र उसे छोड़ कर दूसरी जगह दो सफ़ से ज़ाइद हटा नमाज़ फ़ासिद हो गई और वहाँ भीड़ थी तो फ़ासिद न हुई।(आलमगीरी जि. 1 स 89)

मसअ्ला :– अगर वुज़ू में मसह़ भूल गया तो जब तक नमाज़ में खड़ा न हुआ जाकर मसह़ कर आये और नमाज़ में खड़े होने के बाद याद आया तो सिरे से पढ़े और अगर वहाँ कपड़ा भूल आया था और जाकर उठा लिया तो सिरे से पढ़े। (आलमगीरी जि. 1 स. 89)

मसअ्ला :– मस्जिद में पानी है उससे वुज़ू कर के एक हाथ से बर्तन नमाज़ की जगह उठा लाया तो बिना कर सकता है दोनों हाथ से उठाया तो नहीं, यूँही बर्तन से लोटे में पानी लेकर एक हाथ से उठाया तो बिना कर सकता है दोनों हाथ से उठाया तो नहीं। (आलमगीरी जि. 1 स 89)

मसअ्ला :– मोज़े पर मसह़ किया था नमाज़ में ह़दस हुआ वुज़ू के लिये गया वुज़ू के बीच में मसह़ की मुद्दत ख़त्म हो गई या तयम्मुम से नमाज़ पढ़ रहा था और ह़दस हुआ और पानी पाया या पट्टी पर मसह़ किया था ह़दस के बाद ज़ख़्म अच्छा होकर पट्टी खुल गई तो इन सब सूरतों में बिना

नहीं कर सकता। (आलमगीरी वगैरा जि. 1 स. 89)

मसअ्ला :– बेवुज़ू हो जाने का गुमान करके मस्जिद से निकल गया अब मालूम हुआ कि वुज़ू न गया था तो सिरे से पढ़े और मस्जिद से बाहर न हुआ था तो मुसल्ले से हटते ही नमाज़ फ़ासिद हो गई(आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर यह गुमान हुआ कि बेवुज़ू शुरू ही की थी या मोज़े पर मसह किया था और गुमान हुआ कि मुद्दत ख़त्म हो गई या साहिबे तरतीब ज़ोहर की नमाज़ में था और गुमान हुआ कि फ़ज्र की नहीं पढ़ी या तयम्मुम किया था सराब यानी वह रेगिस्तानी रेत जो दोपहर के वक़्त धूप की तेज़ी की वजह से पानी जैसा नज़र आता है,उस पर नज़र पड़ी और उसे पानी गुमान किया या कपड़े पर रंग देखा और उसे नजासत गुमान किया इन सब सूरतों में नमाज़ छोड़ने के ख़्याल से हटा ही था कि मालूम हुआ गुमान ग़लत है तो नमाज़ फ़ासिद हो गई। (आलमगीरी ज़ि 1 स 403)

मसअ्ला :– रुकू यॉ सजदे में हदस हुआ अगर अदा के इरादे से सर उठाया नमाज़ बातिल हो गई उस पर बिना नहीं कर सकता। (दुर्रे मुख़्तार)

ख़लीफ़ा करने का बयान

मसअ्ला :– नमाज़ में इमाम को हदस हुआ तो उन शराइत के साथ जो ऊपर ज़िक्र हुईं दूसरे को ख़लीफ़ा कर सकता है (इसको इस्तिख़लाफ़ कहते हैं) अगर्चे वह नमाज़ नमाज़े जनाज़ा हो।

मसअ्ला :– जिस मौके पर बिना जाइज़ है वहाँ इस्तिख़लाफ़ सही है और जहाँ बिना सही नहीं इस्तिख़लाफ़ भी सही नहीं। (आलमगीरी जि. 1 स 89)

मसअ्ला :– जो शख़्स इस मुहदिस (यानी जिसका वुज़ू टूट गया हो)का इमाम हो सकता है वह ख़लीफ़ा भी नहीं हो सकता है और जो इमाम नहीं बन सकता वह ख़लीफ़ा भी नहीं हो सकता(आलमगीरी जि1 स 89)

मसअ्ला :– जब इमाम को हदस हो जाये तो नाक बन्द कर के (कि लोग नकसीर गुमान करें)पीठ झुका कर पीछे हटे और इशारे से किसी को ख़लीफ़ा बनाने में बात न करे। (आलमगीरी, ज़ि1 स 90)

मसअ्ला :– मैदान में नमाज़ हो रही है तो जब तक सफ़ों से बाहर न गया ख़लीफ़ा बना सकता है और मस्जिद में है तो जब तक मस्जिद से बाहर न हुआ इस्तिख़लाफ़ हो सकता है।(आलमगीरी ज़ि1 स 90)

मसअ्ला :– मस्जिद के बाहर तक बराबर सफ़ें हैं इमाम ने मस्जिद में से किसी को ख़लीफ़ा न बनाया बल्कि बाहर वाले को ख़लीफ़ा बनाया यह इस्तिख़लाफ़ सही नहीं हुआ कौम और इमाम सब की नामज़ें गईं और आगे बढ़ गया तो उस वक़्त तक ख़लीफ़ा बना सकता है कि सुतरा या सजदे की जगह से आगे न हुआ हो। (दुर्रे मुख़्तार,आलमगीरी ज़ि 1 स 404 ज़ि 1 स 90)

मसअ्ला :– मकान और छोटी ईदगाह मस्जिद के हुक्म में है बड़ी मस्जिद और बड़ा मकान और बड़ी ईदगाह मैदान के हुक्म में हैं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– इमाम ने किसी को ख़लीफ़ा न किया बल्कि कौम ने बना दिया या खुद ही इमाम की जगह पर नियते इमामत करके खड़ा हो गया तो यह ख़लीफ़ाए इमाम हो गया और महज़ इमाम की जगह पर चले जाने से इमाम न होगा जब तक नियते इमामत न करे। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मस्जिद व मैदान में ख़लीफ़ा बनाने के लिये जो हद मुकर्रर की गई है उस से अभी

मुतजाविज़ यानी आगे न हुआ न खुद कोई ख़लीफ़ा बना न जमाअत ने किसी को बनाया तो इमाम की इमामत क़ाइम है यहाँ तक कि इस वक़्त भी अगर उसकी इक़्तिदा कोई शख़्स करे तो हो सकती है। (रद्दुल मुहतार जि 1 स 404)

मसअला :– इमाम को हदस हुआ पिछली सफ़ में से किसी को ख़लीफ़ा कर के मस्जिद से बाहर हो गया अगर ख़लीफ़ा ने फ़ौरन ही इमामत की नियत कर ली तो जितने मुक़तदी उस ख़लीफ़ा से आगे हैं सब की नमाज़ें फ़ासिद हो गईं उस सफ़ में जो दाहिने बायें हैं या उस सफ़ से पीछे, उनकी और इमामे अव्वल की फ़ासिद न हुई और अगर ख़लीफ़ा ने यह नियत की कि इमाम की जगह पहुँचकर इमाम हो जाऊँगा और इमाम की जगह पर पहुँचने से पहले इमाम बाहर हो गया तो सब की नमाज़ें फ़ासिद हो गईं। (आलमगीरी जि. 1 स 90 ,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– इमाम के लिये औला यह है कि मसबूक़ को ख़लीफ़ा न बनाये बल्कि किसी और को बनाये और जो मसबूक़ ही को ख़लीफ़ा बनाये तो उसे चाहिये कि क़बूल न करे और क़बूल कर लिया तो ख़लीफ़ा हो गया। (आलमगीरी जि 1 स 90)

मसअला :– मसबूक़ को ख़लीफ़ा बना ही दिया तो जहाँ से इमाम ने ख़त्म किया है मसबूक़ वहीं से शुरू करे रहा यह कि मसबूक को क्या मालूम कि क्या बाक़ी है लिहाज़ा इमाम उसे इशारे से बता दे मसलन एक रकअ़त बाक़ी तो एक उंगली से इशारा करे, दो हों तो दो से ,रुकू करना हो तो घुटने पर हाथ रख दे,सजदे के लिये पेशानी पर,क़िरात के लिये मुँह पर,सजदए तिलावत के लिये पेशानी व ज़ुबान पर सजदए सहव के लिये सीने पर रखे और अगर मसबूक़ को मालूम हो तो इशारे की कुछ हाजत नहीं। (दुर्रे मुख़्तार जि1 स. 404 आलमगीरी जि 1 स 89)

मसअला :– चार रकअ़त वाली नमाज़ में एक शख़्स ने इक़्तिदा की फिर इमाम को हदस हुआ और उसे ख़लीफ़ा किया और उसे मालूम नहीं कि इमाम ने कितनी पढ़ी है और क्या बाक़ी है तो यह चार रकअ़त पढ़े और हर रकअ़त पर क़अ़दा करे। (आलमगीरी जि. 1 स 90)

मसअला :– मसबूक़ को ख़लीफ़ा किया तो इमाम की नमाज़ पूरी करने के बाद सलाम फेरने के लिये किसी मुदरिक को मुक़द्दम कर दे यानी आगे बढ़ा दे कि वह सलाम फेरे।(आलमगीरी वग़ैरा जि 1स 90)

मसअला :– चार या तीन रकअ़त वाली में उस मसबूक़ को ख़लीफ़ा किया जिसको दो रकअ़तें न मिली थीं तो उस ख़लीफ़ा पर दो क़अ़दे फ़र्ज़ हैं एक इमाम का क़अ़दए अख़ीरा और एक उसका खुद और अगर इमाम ने इशारा कर दिया कि पहली रकअ़तों में क़िरात न की थी चार रकअ़त वाली नमाज़ में चारों में ख़लीफ़ा पर क़िरात फ़र्ज़ है। (आलमगीरी जि 1 स 140 दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मसबूक़ ने इमाम की नमाज़ पूरी करने के बाद क़हक़हा लगाया या क़स्दन हदस किया या कलाम किया या मस्जिद से बाहर हो गया तो खुद उसकी नमाज़ जाती रही और क़ौम की हो गई,रहा इमामे अव्वल वह अगर अरकाने नमाज़ से फ़ारिग़ हो गया है तो उसकी भी हो गई वर्ना गई। (आलमगीरी जि. 1 स 90)

मसअला :– लाहिक़ को ख़लीफ़ा बनाया तो उसे हुक्म है कि जमाअ़त की तरफ़ इशारा करे कि अपने हाल पर लोग रहें यहाँ तक कि जो उसके ज़िम्मे है उसे पूरा कर के इमाम की नमाज़ को पूरी करे और अगर पहले इमाम की नमाज़ पूरी कर दी तो जब सलाम का मौक़ा आये किसी को

सलाम फेरने के लिये ख़लीफ़ा बनाये और ख़ुद अपनी पूरी करे। (आलमगीरी जि. 1 स 90)

मसअला :– इमाम ने एक को ख़लीफ़ा बनाया और उस ख़लीफ़ा ने दूसरे को ख़लीफ़ा कर दिया तो अगर इमाम के मस्जिद से बाहर होने और ख़लीफ़ा के इमाम की जगह पर पहुँचने से पहले यह हुआ तो जाइज़ है वर्ना नहीं। (आलमगीरी जि 1 स 90)

मसअला :– तन्हा नमाज़ पढ़ रहा था हदस वाक़ेअ़ हुआ और अभी मस्जिद से बाहर न हुआ कि किसी ने उसकी इक़्तिदा की तो यह मुक़तदी ख़लीफ़ा हो गया। (आलमगीरी जि 1 स 91)

मसअला :– मुसाफ़िरों ने मुसाफ़िर की इक़्तिदा की और इमाम को हदस लाहिक़ हुआ उसने मुक़ीम को ख़लीफ़ा किया मुसाफ़िरों पर चार रकअ़तें पूरी करना लाज़िम नहीं और मुक़ीम ख़लीफ़ा को चाहिये कि किसी मुसाफ़िर को मुक़द्दम कर दे यानी आगे बढ़ा दे कि वह सलाम फेरे और अगर मुक़तदियों में और भी मुक़ीम थे तो वह तन्हा–तन्हा 2–2 रकअ़त बिला किराअत पढ़ें अब अगर उस ख़लीफ़ा की इक़्तिदा करेंगे तो उन सब की नमाज़ बातिल होगी। (रद्दुलमुहतार जि 1 स 410)

मसअला :– इमाम को जुनून (पागलपन) हो गया या बेहोशी तारी हुई या क़हक़हा लगाया या कोई गुस्ल का सबब पाया गया मसलन सो गया और एहतिलाम हुआ या तफ़क्कुर करने या शहवत के साथ नज़र करने या छूने से मनी निकल गई तो इन सब सूरतों में नमाज़ फ़ासिद हो गई सिरे से पढ़े। (दुर्रेमुख़्तार जि 1 स 405)

मसअला :– अगर शिद्दत से पाख़ाना पेशाब मालूम हुआ कि नमाज़ पूरी नहीं कर सकता तो इस्तिख़लाफ़ जाइज़ नहीं । यूँही अगर पेट में तेज़ दर्द हो कि खड़ा नहीं रह सकता तो बैठ कर पढ़े इस्तिख़लाफ़ जाइज़ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार रद्दुलमुहतार)

मसअला :– अगर शर्म व रोब की वजह से किराअ़त से आजिज़ है तो इस्तिख़लाफ़ जाइज़ है और बिल्कुल निसयान हो गया यानी भूल गया तो नाजाइज़। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– इमाम को हदस हुआ और किसी को ख़लीफ़ा बनाया और ख़लीफ़ा ने अभी नमाज़ पूरी नहीं की है कि इमाम वुज़ू से फ़ारिग़ हो गया तो उस पर वाजिब है कि वापस आये यानी इतना क़रीब हो जाये कि इक़्तिदा हो सके और ख़लीफ़ा पूरी कर चुका है तो उसे इख़्तेयार है कि वहीं पूरी करे या मौज़ए इक़्तिदा यानी इक़्तिदा की जगह पर आये, यूँही मुनफ़रिद को इख़्तियार है और मुक़तदी को हदस हुआ तो वाजिब है कि वापस आये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– नमाज़ में इमाम का इन्तिक़ाल हो गया अगर्चे क़अ़दए अख़ीरा में तो मुक़तदियों की नमाज़ बातिल हो गई सिरे से पढ़ना ज़रूरी है। (रद्दुल मुहतार जि 1 स 405)

नमाज़ फ़ासिद करने वाली चीज़ों का बयान

सही मुस्लिम में मुआ़विया इब्ने हकम रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं नमाज़ में आदमियों का कोई कलाम दुरूस्त नहीं वह तो नहीं मगर तस्बीह व तकबीर व किराते कुर्आन। सही बुख़ारी व सही मुस्लिम में है अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु कहते हैं कि हुज़ूर नमाज़ में होते और हुज़ूर को सलाम किया

करते और हुज़ूर जवाब देते जब नजाशी के यहाँ से हम वापस हुए सलाम अ़र्ज़ किया। जवाब न दिया अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह! हम सलाम करते थे और हुज़ूर जवाब देते थे। (अब क्या बात है कि जवाब न मिला) फ़रमाया नमाज़ में मशग़ूली है और अबू दाऊद की रिवायत में है फ़रमाया अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अपना हुक्म जो चाहता है ज़ाहिर फ़रमाता है और जो ज़ाहिर फ़रमाया है उस में से यह है कि नमाज़ में कलाम न करो उस के बाद सलाम का जवाब दिया और फ़रमाया नमाज़ किराते कुर्आन और ज़िकरे ख़ुदा के लिए है तो जब तुम नमाज़ में हो तुम्हारी यही शान होनी चाहिए (आलमगीरी)

मसअला :– ज़बान से सलाम का जवाब देना भी नमाज़ को फ़ासिद करता है और हाथ के इशारे से दिया तो मकरूह हुई सलाम की नियत से मुसाफ़ा करना भी नमाज़ को फ़ासिद कर देता है।

मसअला :– मुसल्ली (नमाज़ी)से कोई चीज़ माँगी या कोई बात पूछी उसने सर या हाथ से हाँ या नहीं का इशारा किया नमाज़ फ़ासिद न हुई अलबत्ता मकरूह हुई। (आलमगीरी)

मसअला :– किसी को छींक आई उस के जवाब में नमाज़ी ने "यरहमुकल्लाह" कहा नमाज़ फ़ासिद हो गई और ख़ुद उसी को छींक आई और अपने को मुख़ातब करके "यरहमुकल्लाह" कहा तो फ़ासिद न हुई और किसी और को छींक आई उस मुसल्ली ने "अलहम्मदुलिल्लाह" कहा नमाज़ न गई और जवाब की नियत से कहा तो जाती रही। (आलमगीरी जि॰1 स 92)

मसअला :– नमाज़ में छींक आई किसी दूसरे ने "यरहमुकल्लाह" कहा और उसने जवाब में कहा आमीन नमाज़ फ़ासिद हो गई। (आलमगीरी जि॰1 स 92)

मसअला :– नमाज़ में छींक आये तो सुकूत करे और "अलहम्मदुलिल्लाह" कह लिया तो भी नामज़ में हरज नहीं और अगर उस वक़्त हम्द न की तो फ़ारिग़ होकर कहे। (आलमगीरी जि 1 स 92)

मसअला : – ख़ुशी की ख़बर सुनकर जवाब में 'अलहम्दुलिल्लाह' कहा नमाज़ फ़ासिद हो गई और अगर जवाब की नियत से न कहा बल्कि यह ज़ाहिर करने के लिये कि नमाज़ में है तो फ़ासिद न हुई यूँही तअ़ज्जुब में डालने वाली कोई चीज़ देखकर जवाब के इरादे से "सुब्हानल्लाह" या "लाइला–ह "इल्लल्लाह" या "अल्लाहु अकबर" कहा नमाज़ फ़ासिद हो गई वर्ना नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– किसी ने आने की इजाज़त चाही उसने यह ज़ाहिर करने को कि नमाज़ में हूँ ज़ोर से "अल्हमदुलिल्लाह" या "सुब्हानल्लाह" या "अल्लाहु अकबर" पढ़ा नमाज़ फ़ासिद न हुई। (ग़ुनिया)

मसअला :– बुरी ख़बर सुनकर اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ तर्जमा : "हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह की तरफ़ हमें पलटना है" कहा या अलफ़ाज़े कुर्आन से किसी को जवाब दिया नमाज़ फ़ासिद हो गई। मसलन किसी ने पूछा क्या ख़ुदा के सिवा दूसरा ख़ुदा है ? उस ने जवाब दिया لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ या पूछा तेरे क्या–क्या माल हैं उसने जवाब में कहा اَلْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيْرُ तर्जमा :– (घोड़े और ख़च्चर और गधे) या पूछा कहाँ से आये ?कहा وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ तर्जमा :–"और कितने कुँए बेकार पड़े और कितने महल गच (बर्बाद किये हुए)" यूँही अगर किसी को

अलफ़ाज़े कुर्आन से मुख़ातब किया मसलन उस का नाम यहया है उस से कहा0يَا يَحْيٰى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ
(तर्जमा :"ऐ यहया ले लो किताब को मज़बूती के साथ")मूसा नाम है उससे कहा وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسٰى
(तर्जमा : "और क्या है वह तुम्हारे दाहिने हाथ में ऐ मूसा") इस सब सूरतों में कुर्आन न पढ़ते हुए किसी से सवाल कर दिया या किसी का जवाब दिया या किसी दुनियावी बात की तरफ़ इशारा हुआ तो नमाज़ फ़ासिद हो गई। (दुर्रे मुख़्तार जि.1 स.407)

मसअ्ला :– अल्लाह तआ़ला का नामे मुबारक सुनकर 'जल–ल जलालुहु' कहा या नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम का नामे मुबारक सुनकर दुरूद पढ़ा या इमाम की किरात सुनकर 'स–द–क़ल्लाहु व स–द–क़ रसूलुहु' कहा तो इन सब सूरतों में नमाज़ जाती रही जबकि जवाब के इरादे से कहा हो और अगर जवाब में न कहा तो हरज नहीं। यूँही अगर अज़ान का जवाब दिया नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार जि.1 स. 407)

मसअ्ला :– शैतान का ज़िक्र सुनकर उस पर लानत भेजी नमाज़ जाती रही वसवसा के दूर करने के लिये लाहौल पढ़ी अगर दुनिया के काम के लिये है नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी और आख़िरत के लिये है तो नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :– चाँद देखकर 'रब्बी व रब्बुकल्लाह' कहा या बुख़ार वग़ैरा की वजह से कुछ कुर्आन पढ़कर दम किया नमाज़ फ़ासिद हो गई। बीमार ने उठते बैठते तकलीफ़ और दर्द पर बिस्मिल्लाह कही तो नमाज़ फ़ासिद न हुई। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– कोई इबारत शेअ्र के वज़न पर जो कुर्आन मजीद में तरतीब के साथ पाई जाती है शेअ्र की नियत से पढ़ी नमाज़ फ़ासिद हो गई जैसे :–0 وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا0 فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا0
और अगर नमाज़ में शेअ्र बनाया मगर ज़ुबान से कुछ न कहा तो अगर्चे नमाज़ फ़ासिद न हुई मगर गुनाहगार हुआ। (आलमगीरी जि. 1 स. 93)

मसअ्ला :– नमाज़ में ज़ुबान पर नअ्म (अ़रबी का लफ़्ज़ है जिसके मअ्ना 'हाँ' है)या 'अरे' या 'हाँ' जारी हो गया अगर यह लफ़्ज़ कहने का आदी है फ़ासिद हो गई वर्ना नहीं।(दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा जि. 1 स. 416)

मसअ्ला :– मुसल्ली (नमाज़ी) ने अपने इमाम के सिवा दूसरे को लुक़मा दिया नमाज़ जाती रही जिसको लुक़मा दिया है वह नमाज़ में हो या न हो मुक़तदी हो या मुनफ़रिद या किसी और का इमाम। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1स. 418 वग़ैरा)

मसअ्ला :– अगर लुक़मा देने की नियत से नहीं पढ़ा बल्कि तिलावत की नियत से पढ़ा तो हरज नहीं।(दुर्रे मुख़्तार जि. 1 स. 418)

मसअ्ला :– अपने मुक़तदी के सिवा दूसरे का लुक़मा लेना भी मुफ़सिदे नमाज़ है अलबत्ता अगर उसके बताते वक़्त उसे ख़ुद याद आ गया उस के बताने से नहीं यानी अगर वह न बताता जब भी उसे याद आ जाता उस के बताने का कुछ दख़्ल नहीं तो उसका पढ़ना मुफ़सिद नहीं

(दुर्रेमुख़्तार, जि.1 स. 418 रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अपने इमाम को लुक़मा देना और इमाम का लुक़मा लेना मुफ़सिदे सलात नहीं हाँ अगर

मुक़तदी ने दूसरे से सुनकर जो नमाज़ में उस का शरीक नहीं है लुक़मा दिया और इमाम ने ले लिया तो सब की नमाज़ गई और इमाम ने न लिया तो सिर्फ़ उस मुक़तदी की गई।(दुर्रेमुख़्तार जि.1 स 418)

मसअला :– लुक़मा देने वाला किराअत की नियत न करे बल्कि लुक़मा देने की नियत से यह अल्फ़ाज़ कहे। (आलमगीरी)

मसअला :– फ़ौरन ही लुक़मा देना मकरूह है थोड़ा तवक्कुफ़ चाहिए यानी ठहरना चाहिए कि शायद इमाम खुद निकाल ले मगर जबकि उस की आदत उसे मालूम हो कि रुकता है तो बाज़ ऐसे हुरूफ़ निकलते हैं जिन से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है तो फ़ौरन बताये। यूँही इमाम को मकरूह है कि मुक़तदियों को लुक़मा देने पर मजबूर करे बल्कि किसी दूसरी सूरत की तरफ़ मुन्तक़िल हो जाये यानी दूसरी सूरत पढ़ना शुरू कर के या दूसरी आयत शुरू कर दे बशर्ते कि उस का मिलाना मुफ़सिदे नमाज़ न हो और अगर बक़द्रे हाजत पढ़ चुका है तो रुकू कर दे। मजबूर करने के यह मअ्ना हैं कि बार बार पढ़े या साकित (ख़ामोश) खड़ा रहे (आलमगीरी जि. 1 स 93 रद्दुलमुहतार जि 1 स. 418)मगर यह ग़लती अगर ऐसी है जिसमें मअ्ना बिगड़ जाता था तो नमाज़ को ठीक करने के लिये उस आयत को लौटाना लाज़िम था और याद नहीं आता तो मुक़तदी को आप ही मजबूर करेगा और वह भी न बता सके तो गई।

मसअला :– लुक़मा देने वाले के लिये बालिग होना शर्त नहीं मुराहिक़ यानी जो बालिग होने के क़रीब हो वह भी लुक़मा दे सकता है (आलमगीरी जि 1 स 93)बशर्ते कि नमाज़ जानता हो और नमाज़ में हो।

मसअला :– ऐसी दुआ जिसका सवाल बन्दे से नहीं किया जा सकता जाइज है मसलन اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ **तर्जमा** :– "ऐ अल्लाह मुझे आफ़ियत दे,मेरी मग़फ़िरत फ़रमा।" और जिसका सवाल बन्दों से किया जा सकता है मुफ़सिदे नमाज़ है मसलन اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْنِىْ، اَللّٰهُمَّ زَوِّجْنِىْ **तर्जमा** :– "ऐ अल्लाह मुझे खाना दे,मुझे बीवी अ़ता फ़रमा।" (आलमगीरी)

मसअला :– अह, आह, उफ़ ,तुफ़, यह अल्फ़ाज़ दर्द या मुसीबत की वजह से निकले या आवाज़ से रोया और हुरूफ़ पैदा हुए इन सब सूरतों में नमाज़ जाती रही और अगर रोने में सिर्फ़ आँसू निकले आवाज़ व हुरूफ़ नहीं निकले तो हरज नहीं। (आलमगीरी,जि 1 स 94 रद्दुल मुहतार जि 1 स. 416)

मसअला :– मरीज़ की ज़ुबान से बेइख़्तियार आह,ओह निकली नमाज़ फ़ासिद न हुई यूँही छींक, खाँसी, जमाही,डकार में जितने हुरूफ़ मजबूरन निकलते हैं माफ़ हैं। (दुर्रेमुख़्तार जि.1 स. 416)

मसअला :– जन्नत दोज़ख़ की याद में अगर यह अल्फ़ाज़ कहे तो नमाज़ फ़ासिद न हुई। (दुर्रे मुख़्तार जि 1 स 416)

मसअला : – इमाम का पढ़ना पसन्द आया उस पर रोने लगा और अरे, नअ्म हाँ, ज़ुबान से निकला कोई हरज नहीं कि यह ख़ुशूअ् की वजह से है और अगर ख़ुशगुलोई (अच्छी आवाज़)के सबब कहा तो नमाज़ जाती रही। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार जि.1 स 416)

मसअला :– फूँकने में अगर आवाज़ पैदा न हो तो वह मिस्ल साँस के है कि मुफ़सिद नहीं मगर

क़स्दन करना मकरूह है और अगर दो हर्फ़ पैदा हों जैसे ऊफ़ तुफ़, तो मुफ़सिद है यानी नमाज़ जाती रहेगी। (गुनिया स. 427)

मसअला :– खंकारने में जब दो हर्फ़ ज़ाहिर हों जैसे उह, मुफ़सिदे नमाज़ है जबकि न उज़्र हो न कोई सही ग़र्ज़ अगर सही उज़्र से हो मसलन तबीअत का तकाज़ा हो या इमाम से ग़लती हो गई है इसलिए खंकारता है कि इमाम दुरूस्त कर ले या इसलिये खंकारता है कि दूसरे शख़्स को इसका नमाज़ में होना मालूम हो तो इस सूरतों में नमाज़ फ़ासिद नहीं होती। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1स. 416 वग़ैरा)

मसअला :– नमाज़ में मुसहफ़ शरीफ़ (क़ुर्आन शरीफ़)से देखकर क़ुर्आन पढ़ना मुतलक़न मुफ़सिदे नमाज़ है यानी नमाज़ जाती रहेगी। यूँही अगर मेहराब वग़ैरा में लिखा हो मुसहफ़ या मेहराब पर फ़क़त नज़र है तो हरज नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, जि.1 स. 419 रद्दुलमुहतार)

मसअला : – किसी काग़ज़ पर क़ुर्आन मजीद लिखा हुआ देखा और उसे समझा नमाज़ में नुक़सान न आया। यूँही अगर फ़िक़्ह की किताब देखी और समझी नमाज़ फ़ासिद न हुई ख़्वाह समझने के लिये उसे देखा या नहीं ,हाँ अगर क़स्दन (जानबूझ कर) देखा और क़स्दन समझा तो मकरूह है और बिलाक़स्द(बिना इरादे)हुआ तो मकरूह भी नहीं।(आलमगीरी, ज़ि 1 स 95 दुर्रेमुख़्तार ज़ि. 1 स. 426) यही हुक्म हर तहरीर का है जब ग़ैरे दीनी हो तो कराहत ज़्यादा।

मसअला :– सिर्फ़ तौरात या इंजील को नमाज़ में पढ़ा तो नमाज़ न हुई क़ुर्आन पढ़ना जानता हो या नहीं (आलमगीरी जि. 1 स. 95)और अगर बक़द्रे हाजत क़ुर्आन पढ़ लिया और कुछ आयात तौरात व इंजील की जिन में ज़िक्रे इलाही है पढ़े तो हरज नहीं मगर न चाहिये।

मसअला :– अमले कसीर कि न नमाज़ के आमाल से हो न नमाज़ को सही करने के लिये किया गया हो नमाज़ फासिद कर देता है। अमले क़लील मुफ़सिद नहीं जिस काम के करने वाले को दूर से देखकर उस के नमाज़ में न होने का शक न रहे बल्कि गुमान ग़ालिब हो कि नमाज़ में नहीं तो वह अमले कसीर है और अगर दूर से देखने वाले को शुबह व शक हो कि नमाज़ में है या नहीं तो अमले क़लील है (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा जि.1 स. 420)

मसअला :– कुर्ता या पाजाम पहना या तहबंद बाँधा नमाज़ जाती रही। (गुनिया)

मसअला :– नापाक जगह पर बग़ैर कोई चीज़ बिछाए हुए सजदा किया नमाज़ फ़ासिद हो गई अगर्चे उस सजदे को पाक जगह पर इआदा करे (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 स. 420) यूँही हाथ या घुटने सजदे में नापाक जग्रह पर रखे नमाज़ फ़ासिद हो गई। (रद्दुलमुहतार जि. 1 स. 420)

मसअला :– सत्र खोले हुये या बक़द्रे मानेए नमाज़ के साथ यानी जिस्म या कपड़े में इतनी नजासत (नापाकी)लगी हो जिससे नमाज़ न हो उसी में पूरा रुक्न अदा करना या तीन तस्बीह (सुब्हानल्लाह) का वक़्त गुज़र जाना मुफ़सिदे नमाज़ है। भीड़ की वजह से तीन तस्बीह की मिक़दार तक औरतों की सफ़ में पड़ गया या इमाम से आगे हो गया नमाज़ जाती रही (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)और क़स्दन सत्र खोलना मुतलक़न मुफ़सिदे नमाज़ है अगर्चे फ़ौरन ढाक ले उसमें वक़्फ़ा की भी हाजत नहीं।

मसअला :– दो कपड़े मिलाकर सिले हों उन में अस्तर नापाक है और अबरा पाक तो अबरे की तरफ़ भी नमाज़ नहीं हो सकती जबकि नजासत इतनी हो कि जिस के मिक़दार में पाये जाने पर नमाज़ नहीं होती वह अगर सजदे की जगहों में हो और सिले न हों तो अबरे पर जाइज़ है जबकि

इतना बारीक न हो कि अस्तर चमकता हो।(दुर्रेमुख़्तार जि.1 स. 420रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :— नजिस ज़मीन पर मिट्टी चूना खूब बिछा दिया अब उस पर नमाज़ पढ़ सकते हैं और अगर मामूली तरह से ख़ाक छिड़क दी है कि नजासत की बूआती है तो नाजाइज़ है जबकि मवाज़ेए सुजूद यानी सजदे की जगहों पर नजासत हो। (गुनिया स. 94)

मसअ्ला :— नमाज़ के अन्दर खाना पीना मुतलक़न नमाज़ को फ़ासिद कर देता है,क़स्दन हो या भूलकर थोड़ा हो या ज़्यादा यहाँ तक कि अगर तिल बग़ैर चबाये निगल लिया या कोई क़तरा उसके मुँह में गिरा और उसने निगल लिया नमाज़ जाती रही।(दुर्रेमुख़्तार जि. 1 स. 418 रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :— दाँतों के अन्दर खाने की कोई चीज़ रह गई थी उस को निगल गया अगर चने से कम है नमाज़ फ़ासिद न हुई मकरूह हुई और चने बराबर है तो फ़ासिद हो गई दाँतों से खून निकला अगर थूक ग़ालिब है तो निगलने से फ़ासिद न होगी वर्ना फ़ासिद हो जायेगी।(दुर्रे मुख़्तार जि. 1 स. 418 आलमगीरी जि. 1स. 195) ग़लबा की अ़लामत(पहचान)यह है कि हल्क़ में ख़ून का मज़ा महसूस हो नमाज़ और रोज़ा तोड़ने में मज़े का एअ्तिबार है और वुज़ू तोड़ने में रंग का।

मसअ्ला :— नमाज़ से पहले कोई चीज़ मीठी खाई थी उसके अजज़ा (टुकड़े) निगल लिये थे सिर्फ़ लुआ़बे दहन यानी मुँह में कुछ मिठास का असर रह गया, उसके निगलने से नमाज़ फ़ासिद न होगी। मुँह में शकर वग़ैरा डाली कि घुलकर हल्क़ में पहुँचती है नमाज़ फ़ासिद हो गई। गोंद मुँह में है अगर चबाया और बाज़ अजज़ा हलक़ से उतर गये नमाज़ जाती रही। (आलमगीरी जि.1 स. 96)

मसअ्ला :— सीने को क़िब्ले से फेरना मुफ़सिदे नमाज़ है जबकि कोई उ़ज़्र न हो यानी इतना फेरे कि सीना ख़ास जेहते कअ्बा यानी कअ्बा की तरफ़ से पैंतालीस दर्जे (डिग्री) हट जाये और अगर उ़ज़्र से हो तो मुफ़सिद नहीं मसलन हदस का गुमान हुआ और मुँह फेरा ही था कि गुमान की ग़लती ज़ाहिर हुई तो मस्जिद से अगर ख़ारिज न हुआ हो नमाज़ फ़ासिद न होगी।(दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा जि.1 स. 418)

मसअ्ला :— क़िब्ले की तरफ़ एक सफ़ की क़द्र चला फिर एक रुक्न की क़द्र यानी तीन बार सुब्हानल्लाह कहने के मिक़दार ठहर गया फिर चला फिर ठहरा अगर्चे कई बार हो जब तक मकान न बदले नमाज़ फ़ासिद न होगी मसलन मस्जिद से बाहर हो जाये या मैदान में नमाज़ हो रही थी और यह शख़्स सफ़ों से निकल गया कि यह दोनों सूरतें मकान बदलने की हैं और इन में नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी। यूँही अगर एक दम दो सफ़ की क़द्र चला नमाज़ फ़ासिद हो गई। (जि.1 स. 421दुर्रेमुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :— सहरा (जंगल)में अगर इसके आगे सफ़ें न हों बल्कि यह इमाम है और मौज़ए सुजूद से मुतजाविज़ हुआ यानी सजदे की जगह से आगे बढ़ा तो अगर इतना आगे बढ़ा जितना इसके और सब से क़रीब वाली सफ़ के दरमियान फ़ासला था तो फ़ासिद न हुई और इससे ज़्यादा हटा तो फ़ासिद हो गई और अगर मुनफ़रिद है तो मौज़ए सुजूद का एअ्तिबार है यानी उतना ही फ़ासला आगे पीछे दाहिने बायें कि इससे ज़्यादा हटने में नमाज़ जाती रहेगी। (आलमगीरी जि. 1 स. 96)

मसअ्ला :— किसी को किसी जानवर ने एक दम बक़द्रे तीन क़दम के खींच लिया या ढकेल दिया तो नमाज़ फ़ासिद हो गई।(दुर्रे मुख़्तार जि.1 स.422)

मसअ्ला :— एक नमाज़ से दूसरी की तरफ़ तकबीर कहकर मुन्तक़िल हुआ पहली नमाज़ फ़ासिद हो

गई मसलन ज़ोहर पढ़ रहा था अस्र या नफ़्ल की नियत से अल्लाहु अकबर कहा ज़ोहर की नमाज़ जाती रही फिर अगर साहिबे तरतीब है और वक़्त में गुंजाइश है तो अस्र की भी न होगी बल्कि दोनों सूरतों में नफ़्ल नमाज़ होगी और नफ़्ल की नियत से अल्लाहु अकबर कहा या मुक़तदी था और तन्हा पढ़ने की नियत से अल्लाहु अकबर कहा तो नमाज़ फ़ासिद हो गई। यूँही अगर नमाज़े जनाज़ा पढ़ रहा था और दूसरा जनाज़ा लाया गया दोनों की नियत से अल्लाहु अकबर कहा या दूसरे जनाज़े की नियत से तो दूसरे जनाज़े की नमाज़ शुरू हुई और पहले की फ़ासिद हो गई। (दुर्रेमुख़्तार जि. 1 स. 419)

मसअ्ला :— औरत नमाज़ पढ़ रही थी बच्चे ने उसकी छाती चूसी अगर दूध निकल आया तो नमाज़ जाती रही (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 स. 422)

मसअ्ला :— औरत नमाज़ पढ़ रही थी मर्द ने बोसा लिया या शहवत के साथ उस के बदन को हाथ लगाया नमाज़ जाती रही और मर्द नमाज़ में था और औरत ने ऐसा किया तो नमाज़ फ़ासिद न हुई जब तक मर्द को शहवत न हो (दुर्रेमुख़्तार जि.1 स. 422 रद्दुलमुहतार)

मसअला :— दाढ़ी या सर में तेल लगाया या कंघा किया या सुर्मा लगाया नमाज़ जाती रही । हाँ अगर हाथ में तेल लगा हुआ है उसको सर या बदन में किसी जगह पोंछ दिया तो नमाज़ फ़ासिद न होगी। (मुनियतुलमुसल्ली, स. 157 गुनिया स. 419)

मसअ्ला :— नमाज़ पढ़ने वाले ने किसी आदमी को तमांचा या कोड़ा मारा,नमाज़ जाती रही और जानवर पर सवार नमाज़ पढ़ रहा था दो एक बार हाथ या एड़ी से हाँकने में नमाज़ फ़ासिद न होगी तीन बार पै–दर–पै करेगा तो जाती रहेगी। एक पाँव से एड़ लगाई अगर पै–दर–पै तीन बार हो नमाज़ जाती रही वर्ना नहीं और दोनों पाँव से लगाई तो फ़ासिद हो गई लेकिन अगर आहिस्ता पाँव हिलाये कि दूसरे को बग़ैर देखने से पता चले तो फ़ासिद न हुई। (मुनियतुलमुसल्ली, 159गुनिया 420)

मसअ्ला :— घोड़े को चाबुक (कोड़ा) से रास्ता बताया और मारा भी नमाज़ फ़ासिद हो गई। नमाज़ पढ़ते में घोड़े पर सवार हो गया नमाज़ जाती रही और सवारी पर नमाज़ पढ़ रहा था उतर आया फ़ासिद न हुई। (मुनियतुलमुसल्ली, स. 150 फ़तावा क़ाज़ी ख़ाँ स. 120)

मसअ्ला :— तीन कलिमे इस तरह लिखना कि हुरूफ़ ज़ाहिर हों नमाज़ को फ़ासिद करता है और अगर हर्फ़ ज़ाहिर न हों मसलन पानी पर या हवा में लिखा तो बेकार है नमाज़ मकरूह तहरीमी हुई। (गुनिया स.420)

मसअ्ला :— नमाज़ पढ़ने वाले को उठा लिया फिर वहीं रख दिया अगर क़िब्ले से सीना न फिरा नमाज़ फ़ासिद न हुई और अगर उस को उठा कर सवारी पर रख दिया नमाज़ जाती रही। (आलमगीरी जि. 1 स. 96)

मसअ्ला :— मौत व जुनून व बेहोशी से नमाज़ जाती रहती है अगर वक़्त में इफ़ाक़ा हुआ तो लौटाए वर्ना क़ज़ा बशर्त कि एक दिन रात से मुतजाविज़ न हो यानी एक दिन एक रात से ज़्यादा न बढ़े। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार जि 1 स 423)

मसअ्ला :— क़स्दन वुज़ू तोड़ा या कोई मूजिबे गुस्ल (गुस्ल का सबब)पाया गया या किसी रुक्न यानी रुकूअ् या सजदा को तर्क किया जबकि उस नमाज़ में उस को अदा न कर लिया हो या

बिला उज़्र शर्त को तर्क किया या मुक़तदी ने इमाम से पहले रुक्न अदा कर लिया और इमाम के साथ या बाद में फिर उसको अदा न किया यहाँ तक कि इमाम के साथ सलाम फेर दिया या मसबूक़ ने फ़ौत शुदा रकअ़त का सजदा करके इमाम के सजदए सहव में मुताबअ़त (इत्तिबा) की या कअ़्दए अख़ीरा के बाद सजदए नमाज़ या सजदए तिलावत याद आया और उसके अदा करने के बाद फिर कअ़्दा न किया किसी रुक्न को सोते में अदा किया था उसका इआ़दा न किया इन सब सूरतों में नमाज़ फ़ासिद हो गई। (दुर्रेमुख़्तार जि. 1 स. 423 वग़ैरा)

मसअला :– साँप बिच्छू मारने से नमाज़ नहीं जाती जबकि न तीन क़दम चलना पड़े न तीन बार मारना पड़े और अगर तीन क़दम चल कर या तीन बार में साँप, बिच्छू वग़ैरा को मारा तो नमाज़ जाती रहेगी। मगर मारने की इजाज़त है अगर्चे नमाज़ फ़ासिद हो जाये। (आलमगीरी जि. 1 स. 97)

मसअला : साँप बिच्छू को नमाज़ में मारना उस वक़्त मुबाह (जाइज़)है कि सामने से गुज़रे और ईज़ा (तकलीफ़) देने का ख़ौफ़ हो और अगर तकलीफ़ पहुँचाने का अंदेशा न हो तो मकरूह है।

मसअला :– पै–दर–पै तीन बाल उखेड़े या तीन जुएं मारीं या एक ही जूँ को तीन बार में मारा नमाज़ जाती रही और पै–दर–पै न हो तो नमाज़ फ़ासिद न होगी मगर मकरूह है।(आलमगीरी जि.1स 97)

मसअला :– मोज़ा कुशादा है उसे उतारने से नमाज़ फ़ासिद न होगी और मोज़ा पहनने से नमाज़ जाती रहेगी। (आलमगीरी जि. 1 स. 97)

मसअला :– घोड़े के मुँह में लगाम दी या उस पर काठी कसी या काठी उतार दी नमाज़ जाती रही। (आलमगीरी जि. 1 स. 97)

मसअला :– एक रुक्न में तीन बार खुजाने से नमाज़ जाती रहती है यानी यूँ कि खुजा कर हाथ हटा लिया फिर खुजाया या फिर हाथ हटा लिया और ऐसे ही फिर किया और अगर एक बार हाथ रखकर चन्द मर्तबा हरकत दी तो एक ही मर्तबा खुजाना कहा जायेगा। (आलमगीरी जि. 1 स. 97)

मसअला :– तकबीराते इन्तिक़ाल में अल्लाह या अकबर के अलिफ़ को दराज़ किया आल्लाह या आकबर कहा या बे के बाद अलिफ़ बढ़ाया यानी अकबार कहा नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी और तहरीमा में ऐसा हुआ तो नमाज़ शुरू ही न हुई (दुर्रेमुख़्तार जि.1 स. 323 वग़ैरा)किरात या अज़कारे नमाज़ में ऐसी ग़लती जिस से मअ़्ना फ़ासिद हो जायें नमाज़ फ़ासिद कर देती है। इसके मुतअ़ल्लिक़ बयान की तफ़सील गुज़र चुकी।

सुतरा का बयान

मसअला :– नमाज़ी के आगे से बल्कि मौज़ए सुजूद (मौज़ए सुजूद क्या है यह आगे ज़िक्र होगा)से किसी का गुज़रना नमाज़ को फ़ासिद नहीं करता ख़्वाह गुज़रने वाला मर्द हो या औरत कुत्ता हो या गधा। (आम्मए कुतुब)

मसअला :– मुसल्ली के आगे से गुज़रना बहुत सख़्त गुनाह है हदीस में फ़रमाया कि इसमें जो कुछ गुनाह है अगर गुज़रने वाला जानता तो चालीस तक खड़े रहने को गुज़रने से बेहतर जानता। रावी कहते हैं मैं नहीं जानता कि चालीस दिन कहे या चालीस महीने या चालीस बरस यह हदीस सिहाहे सित्ता मे अबू जुहैम रदियल्लाहु तआला अ़न्हु से मरवी हुई और बज़्ज़ाज़ की रिवायत में चालीस

बरस का ज़िक्र है और इब्ने माजा की रिवायत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अगर कोई जानता कि अपने भाई के सामने नमाज़ में आड़े होकर गुज़रने में क्या है तो सौ बरस खड़ा रहना उस एक क़दम चलने से बेहतर समझता। इमामे मालिक ने रिवायत किया कि कअ़्ब अहबार फ़रमाते हैं नमाज़ी के सामने गुज़रने वाला अगर जानता उस पर क्या गुनाह है तो ज़मीन में धंस जाने को गुज़रने से बेहतर जानता। इमामे मालिक से रिवायत सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम में है अबू जुहैफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मक्का में देखा हुज़ूर अबताह(जगह का नाम) में चमड़े के एक सुर्ख़ क़ुब्बे के अन्दर तशरीफ़ फ़रमा हैं और बिलाल रदियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर के वुज़ू का पानी लिया और लोग जल्दी जल्दी उसे ले रहे हैं जो उसमें से कुछ पा जाता उसे मुँह और सीने पर मलता और जो नहीं पाता वह किसी और के हाथ से तरी ले लेता फिर बिलाल रदियल्लहु तआला अन्हु ने एक नेज़ा नसब कर दिया यानी गाड़ दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुर्ख़ धारीदार जोड़ा पहने तशरीफ़ लाये और नेज़े की तरफ़ मुँह कर के दो रकअ़त नमाज़ पढ़ाई और मैंने आदमियों और चौपाओं को नेज़े के उस तरफ़ से गुज़रते देखा।

मसअला :– मैदान और बड़ी मस्जिद में मुसल्ली के क़दम से मौज़ए सुजूद तक गुज़रना नाजाइज़ है मौज़ए सुजूद से मुराद यह है कि क़ियाम की हालत में सजदे की जगह की तरफ़ नज़र करे तो जितनी दूर तक निगाह फैले वह मौज़ए सुजूद है यानी सजदे की जगह है,उस के दरमियान से गुज़रना नाजाइज़ है । मकान और छोटी मस्जिद में क़दम से दीवारे क़िब्ला तक कहीं से गुज़रना जाइज़ नहीं अगर सुतरा न हो (दुर्रेमुख़्तार जि.1 स. 426 ,आलमगीरी जि.1 स. 97)

मसअला :– कोई शख़्स बलन्दी पर नमाज़ पढ़ रहा है उस के नीचे से गुज़रना भी जाइज़ नहीं जबकि गुज़रने वाले के बदन का कोई हिस्सा नमाज़ी के सामने हो छत या तख़्त पर नमाज़ पढ़ने वाले के आगे से गुज़रने का भी यही हुक्म है और अगर इन चीज़ों की इतनी बलन्दी हो कि गुज़रने वाले के बदन के किसी हिस्से का सामना न हो तो हरज नहीं। (दुर्रेमुख़्तार जि.1 स. 426 वग़ैरा)

मसअला :– मुसल्ली के आगे घोड़े वग़ैरा पर सवार होकर गुज़रा अगर गुज़रने वाले का पाँव वग़ैरा नीचे का बदन मुसल्ली के सर के सामने हुआ तो मना है। (रद्दुल मुहतार जि.1 स. 426)

मसअला :– मुसल्ली के आगे सुतरा हो यानी कोई ऐसी चीज़ जिस से आड़ हो जाये तो सुतरे के बाद से गुज़रने में कोई हरज नहीं। (आम्मए कुतुब)

मसअला : – सुतरा बक़द्र एक हाथ के ऊँचा और उंगली बराबर मोटा हो और ज़्यादा से ज़्यादा तीन हाथ ऊँचा हो। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार जि.1 स. 428)

मसअला :– इमाम व मुनफ़रिद जब सहरा (जंगल)में या किसी ऐसी जगह नमाज़ पढ़े जहाँ से लोगों के गुज़रने का अंदेशा हो तो मुस्तहब है कि सुतरा गाड़ें और सुतरा नज़्दीक होना चाहिये,सुतरा बिल्कुल नाक की सीध पर न हो बल्कि दाहिने या बायें भौं की सीध पर हो और दाहिने की सीध पर होना अफ़ज़ल है। (दुर्रेमुख़्तार जि.1 स. 428 वग़ैरा)

मसअला :– अगर नसब करना नामुमकिन(बहुत मुश्किल)हो तो वह चीज़ लम्बी लम्बी रख दें औ अगर कोई ऐसी चीज़ भी नहीं कि रख सकते तो ख़त (लाइन)खींच दें चाहें लम्बाई में हो या मेहराब

की शकल में। (दुर्रेमुख़तार, जि.1 स. 428 आलमगीरी जि.1 स. 98)

नोट :– इन दोनों सूरतों से यह मक़सूद नहीं कि गुज़रना जाइज़ हो जायेगा बल्कि इस लिए है कि नमाज़ी का ख़्याल न बटे।

मसअ्ला :– अगर सुतरा के लिये कोई चीज़ नहीं है और उस के पास किताब या कपड़ा मौजूद है तो उसी को सामने रख ले। (रद्दुल मुहतार जि. 1 स 428)

नोट :– इससे भी वही मक़सूद है कि नमाज़ी का दिल न बटे वर्ना किताब या कपड़ा रखने से उसके आगे से गुज़रना जाइज़ न होगा। हाँ अगर बलन्दी इतनी हो जाये जो सुतरे के लिए काफ़ी हो तो गुज़रना भी जाइज़ हो जायेगा।

मसअ्ला :– इमाम का सुतरा मुक़तदी के लिये भी सुतरा है उसको दूसरे सुतरा की हाजत नहीं तो अगर छोटी मस्जिद में भी मुक़तदी के आगे से गुज़र जाये जबकि इमामा के आगे से न हो हरज नहीं। (रद्दुल मुहतार जि. 1 स. 429 वग़ैरा)

मसअ्ला :– दरख़्त और जानवर और आदमी वग़ैरा का भी सुतरा हो सकता है कि इनके बाद गुज़रने में कुछ हरज नहीं (ग़ुनिया) मगर आदमी को उस हालत में सुतरा किया जाये जब उसकी पीठ मुसल्ली की तरफ़ हो कि मुसल्ली की तरफ़ मुँह करना मना है।

मसअ्ला :– सवार अगर मुसल्ली के आगे से गुज़रना चाहता है तो उस का हीला यह है कि जानवर को मुसल्ली के आगे कर ले और उस तरफ़ से गुज़र जाये। (आलमगीरी जि. 1 स. 98)

मसअ्ला :– मुसल्ली के आगे से गुज़रना चाहता है तो अगर उसके पास कोई चीज़ सुतरा के क़ाबिल हो तो उसे उस के सामने रखकर गुज़र जाये फिर उसे उठा ले अगर दो शख़्स गुज़रना चाहते हैं और सुतरा को कोई चीज़ नहीं तो उन में से एक नमाज़ी के सामने उसकी तरफ़ पीठ करके खड़ा हो जाये और दूसरा उसकी आड़ पकड़ कर गुज़र जाये फिर वह दूसरा उस की पीठ के पीछे नमाज़ी की तरफ़ पुश्त कर के खड़ा हो जाये और यह गुज़र जाये फिर वह दूसरा जिधर से उस वक़्त आया उसी तरफ़ हट जाये। (आलमगीरी, जि. 1 स 98 रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर उसके पास अ़सा (लाठी वग़ैरा) है मगर नसब नहीं कर सकता तो उसे खड़ा कर के मुसल्ली के आगे से गुज़रना जाइज़ है जबकि उसको अपने हाथ से छोड़कर गिरने से पहले गुज़र जाये।

मसअ्ला :– अगली सफ़ में जगह थी उसे ख़ाली छोड़कर पीछे खड़ा हुआ तो आने वाला शख़्स उसकी गर्दन फलाँगता हुआ जा सकता है कि उसने अपनी हुरमत(इज़्ज़त) अपने आप खोई। (दुर्रेमुख़तार जि. 1 स. 427)

मसअ्ला :– जब आने जाने वालों का अंदेशा न हो न सामने रास्ता हो तो सुतरा न क़ाइम करने में भी हरज नहीं फिर भी औला (ज़्यादा अच्छा) सुतरा क़ाइम करना है। (दुर्रेमुख़तार)

मसअ्ला :– नमाज़ी के सामने सुतरा नहीं और कोई शख़्स गुज़रना चाहता है या सुतरा है मगर वह शख़्स मुसल्ली और सुतरा के दरमियान से गुज़र जाना चाहता है तो नामाज़ी को रुख़सत है कि उसे गुज़रने से रोके चाहे सुब्हानल्लाह कहे या आवाज़ के साथ क़िरात करे या हाथ या सर या आँख के इशारे से मना करे इस से ज़्यादा की इजाज़त नहीं मसलन कपड़ा पकड़कर झटकना या मारना बल्कि अगर अ़मले कसीर हो गया (यानी ऐसा अ़मल कर बैठा कि देखने से मालूम हो कि

नमाज़ से बाहर है) तो नमाज़ ही जाती रही। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार जि.1 स. 429)

मसअ्ला :– तस्बीह व इशारा दोनों को बिला ज़रूरत जमा करना मकरूह है। औरत के सामने से गुज़रे तो औरत तसफ़ीक़ से मना करे यानी दाहिने हाथ की उंगलियाँ बायें हाथ की पुश्त (पीठ)पर मारे और अगर मर्द ने तस्फ़ीक़ की और औरत ने तस्बीह तो भी नमाज़ फ़ासिद न हुई मगर ख़िलाफ़े सुन्नत हुआ। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :– मस्जिदे हराम शरीफ़ में नमाज़ पढ़ता हो तो उस के आगे तवाफ़ करते हुये लोग गुज़र सकते हैं। (रद्दुलमुहतार)

मकरूहात का बयान

हदीस न.1 :– बुख़ारी व मुस्लिम अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज़ में कमर पर हाथ रखने से मना फ़रमाया।

हदीस न.2 :– शरहे सुन्नत में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि हुज़ूर फ़रमाते हैं कमर पर नमाज़ में हाथ रखना जहन्नमियों की राहत है।

हदीस न.3 :– बुख़ारी व मुस्लिम व अबू दाऊद व नसई रिवायत करते हैं कि उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से नमाज़ के अन्दर इधर उधर देखने के बारे में सवाल किया फ़रमाया यह उचक लेना है कि बन्दे की नमाज़ में से शैतान उचक ले जाता है।

हदीस न.4 :– इमामे अहमद व अबू दाऊद व नसई व इब्ने ख़ुज़ैमा व हाकिम अबूज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो बन्दा नमाज़ में है अल्लाह तआला की रहमते ख़ास उसकी तरफ़ मुतवज्जेह रहती है जब तक इधर उधर न देखे जब उसने अपना मुँह फ़ेरा उसकी रहमत भी फिर जाती है।

हदीस न.5 :– इमाम अहमद व अबू यअ्ला रिवायत करते हैं कि अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं मुझे मेरे ख़लील सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तीन बातों से मना फ़रमाया मुर्ग़ की तरह ठोंग मारने और कुत्ते की तरह बैठने और इधर उधर लोमड़ी की तरह देखने से।

हदीस न.6 :– बज़्ज़ाज़ ने जाबिर इब्ने अ़ब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब आदमी नमाज़ को खड़ा होता है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अपनी ख़ास रहमत के साथ उस की तरफ़ मुतवज्जह होता है और जब इधर उधर देखता है फ़रमाता है ऐ इब्ने आदम किस तरफ़ इल्तिफ़ात (तवज्जोह)करता है क्या मुझसे कोई बेहतर है जिस की तरफ़ इल्तिफ़ात करता है,फिर जब दोबारा इल्तिफ़ात करता है ऐसा ही फ़रमाता है, जब तीसरी बार इल्तिफ़ात करता है अल्लाह तआला अपनी इस ख़ास रहमत को उस से फेर लेता है।

हदीस न.7 :– तिर्मिज़ी रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु से फ़रमाया ऐ लड़के नमाज़ में इल्तिफ़ात से बच यानी दूसरी तरफ़ तवज्जोह करने से बच कि नमाज़ में इल्तिफ़ात हलाकत (तबाही) है।

हदीस न.8से12 :– बुख़ारी व अबू दाऊद व नसई व इब्ने माजा अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु

तआ़ला अ़न्हु से रावी फ़रमाते हैं क्या ह़ाल है उन लोगों का जो नमाज़ में आसमान की त़रफ़ आँखें उठाते हैं उससे बाज़ रहें या उन की निगाहें उचक ली जायेंगी। इसी मज़मून के क़रीब–क़रीब इब्ने उ़मर व अबू हुरैरा व अबू सईद खुदरी व जाबिर इब्ने सुमरह रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम से रिवायतें ह़दीस की किताबों में मौजूद हैं।

ह़दीस न.13 :– इमाम अह़मद व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा व इब्ने ह़ब्बान व इब्ने खुज़ैमा अबू हुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जब कोई तुम में का नमाज़ को खड़ा हो तो कंकरी न छुये कि रह़मत उसके सामने है।

ह़दीस न.14 :– सिह़ाहे सित्ता में मुऐक़ीब रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कंकरी न छू और अगर तुझे नाचार करना ही है तो एक बार।

ह़दीस न.15 :– स़ह़ी इब्ने खुज़ैमा में मरवी कि जाबिर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु कहते हैं मैंने हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से नमाज़ में कंकरी छूने का सवाल किया फ़रमाया एक बार और अगर तू उससे बचे तो यह सौ काली आँख वाली ऊँटनियों से बेहतर है।

ह़दीस न.16 व 17 :– मुस्लिम अबू सईद खुदरी रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी फ़रमाते हैं स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम "जब नमाज़ में किसी को जमाही आये तो जहाँ तक हो सके रोके कि शैत़ान मुँह में दाखि़ल हो जाता है" और स़ह़ीह़ बुख़ारी की रिवायत अबू हुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है कि फ़रमाते हैं "जब नमाज़ में किसी को जमाही आये तो जहाँ तक हो सके रोके" और तिर्मिज़ी व इब्ने माजा की रिवायत उन्हीं से है। उस के बाद फ़रमाया कि "मुँह पर हाथ रख दे"

ह़दीस न.18 व 19 :– इमाम अह़मद व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई व दारमी कअ़ब इब्ने उ़ज़रह रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम जब कोई अच्छी त़रह वुज़ू करके मस्जिद के इरादे से निकले तो एक हाथ की उंगलियाँ दूसरे हाथ में न डाले कि वह नमाज़ में है और उसी की मिस्ल अबू हुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से भी मरवी है

ह़दीस न.20 :– स़ह़ी बुख़ारी में शफ़ीक़ से मरवी कि हुज़ैफ़ा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने एक शख़्स को देखा कि रुकू व सुजूद पूरा नहीं करता जब उसने नमाज़ पढ़ ली तो बुलाया और कहा तेरी नमाज़ न हुई। रावी कहते हैं कि मेरा गुमान है कि यह भी कहा अगर तू मरा तो फ़ित़रते मुह़म्मद स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम के ग़ैर पर मरेगा।

ह़दीस न. 21 से 24 :– बुख़ारी शरीफ़ में और इब्ने खुज़ैमा वग़ैरा ख़ालिद इब्ने वलीद व अ़म्र इब्ने आ़स व यज़ीद इब्ने अ़बी सुफ़यान व शरह़बील इब्ने ह़सना रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम से रावी कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने एक शख़्स को नमाज़ पढ़ते मुलाहिज़ा फ़रमाया कि रुकू तमाम (पूरा) नहीं करता और सजदे में ठोंग मारता है। हुक्म फ़रमाया कि पूरा रुकू कर और फ़रमाया यह अगर इसी ह़ालत में मरा तो मिल्लते मुह़म्मद स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ग़ैर पर मरेगा फ़रमाया जो रुकू पूरा नहीं करता और सजदे में ठोंग मारता है उसकी मिसाल उस भूखे की है कि एक दो खजूरें खा लेता है जो कुछ काम नहीं देतीं।

ह़दीस न.25 :– इमाम अह़मद अबू क़तादा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम सब में बुरा वह चोर है जो अपनी नमाज़ से चुराता है स़ह़ाबा ने

अर्ज़ की या रसूलल्लाह! नमाज़ से कैसे चुराता है फ़रमाया कि रुकू व सुजूद पूरा नहीं करता।

हदीस न.26 :– इमामे मालिक व अहमद नोमान इब्ने मुर्रा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुदूद (सज़ायें)नाज़िल होने से पहले सहाबए किराम से फरामया कि शराबी और ज़ानी और चोर के बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल है। सब ने अर्ज़ की अल्लाह व रसूल खूब जानते हैं फ़रमाया यह बहुत बुरी बातें हैं और इनमें सज़ा है और सब में बुरी चोरी वह है कि अपनी नमाज़ से चुराये। अर्ज़ की या रसूलल्लाह! नमाज़ से कैसे चुरायेगा? फ़रमाया यूँ कि रुकू व सुजूद तमाम न करे इसी के मिस्ल दारमी की रिवायत में भी है।

हदीस न.27 :– इमाम अहमद ने तल्क इब्ने अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह तआला बन्दे की उस नमाज़ की तरफ़ नज़र नहीं फ़रमाता जिसमें रुकू व सुजूद के दरमियान पीठ सीधी न करे।

हदीस न.28 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी रिवायत करते हैं अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद के दरों में खड़े होने से बचते थे। दूसरी रिवायत में है हम धक्का देकर हटाये जाते।

हदीस न.29 :– तिर्मिज़ी ने रिवायत की कि उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं" हमारा एक गुलाम अफ़लह नामी लड़का जब सजदा करता तो फूँकता, फ़रमाया ऐ अफ़लह अपना मुँह ख़ाक आलूदा कर"।

हदीस न.30 :– इब्ने माजा ने अमीरुल मोमिनीन हज़रते अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं" जब तू नमाज़ में हो तो उंगलियाँ न चटका" बल्कि एक रिवायत में है" जब मस्जिद में नमाज़ के इन्तिज़ार में हो उस वक़्त उंगलियाँ चटकाने से मना फ़रमाया"।

हदीस न.31 :– सिहाहे सित्ता में मरवी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं मुझे हुक्म हुआ है कि सात आज़ा यानी बदन के सात हिस्सों पर सजदा करूँ और बाल या कपड़ा न समेटूँ"।

हदीस न.32 :– सहीहैन में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम "मुझे हुक्म हुआ कि सात हड्डियों पर सजदा करूँ मुँह और दोनों हाथ दोनों घुटने और दोनों पंजे और हुक्म हुआ कि कपड़े और बाल न समेटूँ"।

हदीस न.33 :– अबू दाऊद व नसई व दारमी अब्दुर्रहमान इब्ने शुबुल रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने "कौवे की तरह ठोंग मारने और दरिंदे की तरह पाँव बिछाने से मना फ़रमाया" और इस से मना फ़रमाया कि मस्जिद में कोइे शख़्स जगह मुक़र्रर कर ले जैसे ऊँट जगह मुक़र्रर कर लेता है।

हदीस न.34 :– तिर्मिज़ी ने हज़रते अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐ अली ! मैं अपने लिये जो पसन्द करता हूँ तुम्हारे लिये पसन्द करता हूँ और अपने लिये जो मकरूह जानता हूँ तुम्हारे लिये मकरूह जानता हूँ दोनों के दरमियान इक़आ न करना यानी इस तरह न बैठना सुरीन ज़मीन पर हों और घुटने खड़े हों।

हदीस न.35 :– अबू दाऊद और हाकिम ने मुसतदरक में बुरीदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायात

की कि हुज़ूर ने इससे मना फ़रमाया कि मर्द सिर्फ़ पाजामा पहनकर नमाज़ पढ़े और चादर न ओढ़े।

हदीस न.36 :– सहीहैन में अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुज़ूर फ़रमाते हैं तुम में कोई एक कपड़ा पहन कर इस तरह हर्गिज़ नमाज़ न पढ़े कि मोंढ़ों पर कुछ न हो।

हदीस न.37 :– सही बुख़ारी में उन्हीं से मरवी फ़रमाते हैं जो एक कपड़े में नमाज़ पढ़े यानी वही चादर वही तहबंद हो तो इधर का किनारा उधर और उधर का इधर कर ले।

हदीस न.38 :– अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने मुसन्नफ़ में रिवायत की कि इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने नाफ़ेअ़ को दो कपड़े पहनने को दिये और यह उस वक़्त लड़के थे, उसके बाद मस्जिद में गये और नाफ़ेअ़ को एक कपड़े में लिपटे हुये नमाज़ पढ़ते देखा उस पर फ़रमाया क्या तुम्हारे पास दो कपड़े नहीं कि उन्हें पहनते। अ़र्ज़ की हाँ हैं। बताओ अगर मकान से बाहर तुम्हें भेजूँ तो दोनों पहनोगे? अ़र्ज़ की हाँ। तो क्या अल्लाह तआ़ला के दरबार के लिये ज़ीनत ज्यादा मुनासिब है या आदमियों के लिये?अ़र्ज़ की अल्लाह तआ़ला के लिये।

हदीस न.39 :– इमाम अहमद की रिवायत है कि उबई इब्ने कअ़ब रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने कहा कि एक कपड़े में नमाज़ सुन्नत है यानी जाइज़ है कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा करते और हम पर इस बारे में ऐब न लगाया जाता तो अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने फ़रमाया यह उस वक़्त है कि कपड़ों में कमी हो और जो अल्लाह तआ़ला ने वुसअ़त दी है तो दो कपड़ों में नमाज़ ज़्यादा पाकीज़ा है।

हदीस न.40 :– अबू दाऊद ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स नमाज़ में तकब्बुर से तहबन्द लटकाये उसे अल्लाह तआ़ला की रहमत न हिल में है न हरम में। (का़बा शरीफ़ के आस पास का कुछ ख़ास हिस्सा हरम कहलाता है बाक़ी हिल कहलाता है यानी हरम के अ़लावा पूरी दुनिया हिल है)

हदीस न.41 :– अबू दाऊद,अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि एक साहब तहबन्द लटकाये नमाज़ पढ़ रहे थे। इरशाद फ़रमाया जाओ वुज़ू करो। वह गये और वुज़ू करके वापस आये किसी ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह। क्या हुआ कि हुज़ूर ने वुज़ू का हुक्म फ़रमाया ?इरशाद फ़रमाया यह तहबन्द लटकाये नमाज़ पढ़ रहा था और बेशक अल्लाह तआ़ला उस शख़्स की नमाज़ क़बूल नहीं फ़रमाता जो तहबन्द लटकाये हुए हो (यानी इतना नीचा कि पाँव के गट्टे छुप जायें) शैख़ मुहक़्क़िक़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैहि "लमआ़त" में फ़रमाते हैं कि वुज़ू का हुक्म इसलिये दिया कि उन्हें मालूम हो जाये कि यह मअ़सियत(गुनाह)है कि सब लोगों को बता दिया था कि वुज़ू गुनाहों का कफ़्फ़ारा है और गुनाह के असबाब का ज़ाइल (ख़त्म) करने वाला।

हदीस न.42 :– अबू दाऊद अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया जब कोई नमाज़ पढ़े तो दाहिनी तरफ़ जूतियाँ न रखे और बाईं तरफ़ भी नहीं कि किसी और की दाहिनी जानिब होगी मगर उस वक़्त कि बायीं जानिब कोई न हो बल्कि जूतियाँ दोनों पाँव के दरमियान रखे। यानी जब जगह न हो मसलन जमाअ़त में

अहकामे फ़िक़्हिय्यह

कपड़े या दाढ़ी या बदन के साथ खेलना, कपड़ा समेटना मसलन सजदे में जाते वक़्त आगे

या पीछे से उठा लेना अगर्चे गर्द (धूल)से बचाने के लिये किया हो और बिला वजह हो तो और ज़्यादा मकरूह। कपड़ा लटकाना मसलन मोंढे पर इस तरह डालना कि दोनों किनारे लटकते हों यह सब मकरूहे तहरीमी हैं। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– अगर कुर्ते वग़ैरा की आस्तीन में हाथ न डाले बल्कि पीठ की तरफ़ फेंक दी जब भी यही हुक्म है। (दुर्रे मुख़्तार से यही साबित है)

मसअ्ला :– रुमाल या शाल या रज़ाई या चादर के किनारे दोनों मोंढों से लटकते हों यह मना व मकरूह तहरीमी है और एक किनारे दूसरे मोंढे पर डाल दिया और दूसरा लटक रहा है तो हरज नहीं और अगर एक ही मोंढे पर डाला इस तरह कि एक किनारा पीठ पर लटक रहा है दूसरा पेट पर जैसे उमुमन इस ज़माने में मोंढों पर रुमाल रखने का तरीक़ा है तो यह भी मकरूह है।

मसअ्ला :– कोई आस्तीन आधी कलाई से ज़्यादा चढ़ी हुई या दामन समेटे नमाज़ पढ़ना भी मकरूहे तहरीमी है ख़्वाह वह पहले से चढ़ी हो या नमाज़ में चढ़ाई हो (दुर्रेमुख़्तार जि. 1 स. 430)

मसअ्ला :– शिद्दत का पाख़ाना पेशाब मालूम होते वक़्त या गैस की परेशानी के वक़्त नमाज़ पढ़ना मकरूहे तहरीमी है। हदीस में है कि जब नमाज़ क़ाइम की जाये और किसी को बैतुलख़ला जाना हो तो पहले बैतुलख़ला को जाये। इस हदीस को तिर्मिज़ी ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने अरक़म रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत किया और अबू दाऊद व नसई व मालिक ने भी इसी के मिस्ल रिवायत की।

मसअ्ला :– नमाज़ शुरू करने से पहले अगर इन चीज़ों का ग़ल्बा हो तो वक़्त में वुसअ़त होते हुए शुरू करना ही मना और गुनाह है। क़ज़ाए हाजत यानी पेशाब पाख़ाना ज़ोर का लगा हो तो पहले उससे फ़ारिग़ हो ले अगर्चे जमाअ़त जाती रहने का अन्देशा हो और अगर देखते हैं कि क़ज़ाए हाजत और वुज़ू के बाद वक़्त जाता रहेगा तो वक़्त की रिआ़यत मुक़द्दम है यानी पहले नमाज़ पढ़ ले और अगर नमाज़ के बीच में यह हालत पैदा हो जाये और वक़्त में गुंजाइश हो तो तोड़ देना वाजिब अगर उसी तरह पढ़ ली तो गुनाहगार हुआ। (रद्दुलमुहतार जि. 1 स. 413)

मसअ्ला :– जूड़ा बाँधे हुए नमाज़ पढ़ना मकरूहे तहरीमी और नमाज़ में जूड़ा बाँधा तो फ़ासिद हो गई।

मसअ्ला :– कंकरियाँ हटाना मकरूहे तहरीमी है मगर जिस वक़्त कि पूरे तौर पर सुन्नत के मुताबिक़ सजदा अदा न होता हो तो एक बार की इजाज़त है और बचना बेहतर और अगर बग़ैर हटाये वाजिब अदा न होता हो तो हटाना वाजिब है अगर्चे एक बार से ज़्यादा की हाजत पड़े।

मसअ्ला :– नमाज़ में उंगलियाँ चटकाना, उंगलियों की कैंची बाँधना यानी एक हाथ की उंगलियाँ दूसरे हाथ की उंगलियों में डालना मकरूहे तहरीमी है। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा जि.1 स. 413)

मसअ्ला :– नमाज़ के लिए जाते वक़्त और नमाज़ ताबेअ् (जैसे नमाज़ को जाते वक़्त व नमाज़ का इन्तिज़ार) के इन्तिज़ार में भी यह दोनों चीज़ें मकरूह हैं और अगर न नमाज़ में है न नमाज़ के हुक्म में तो कराहत नहीं जबकि किसी हाजत के लिए हों। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा जि. 1–432)

मसअ्ला:– कमर पर हाथ रखना मकरूहे तहरीमी है नमाज़ के अ़लावा भी कमर पर हाथ रखना न चाहिए। (दुर्रेमुख़्तार जि. 1 स. 432)

मसअ्ला :– इधर उधर मुँह फेर कर देखना मकरूहे तहरीमी है कुल चेहरा फिर गया हो या बाज़ और अगर मुँह न फेरे सिर्फ़ कनखियों से इधर उधर बिला हाजत देखे तो कराहते तनज़ीही

है और कभी ज़रूरत के वक़्त किसी हाजते गर्ज़ के लिए हो तो बिल्कुल हरज नहीं निगाह आसमान की तरफ़ उठाना भी मकरूहे तहरीमी है।

मसअ्ला :– तशह्हुद (अत्तहीय्यात) या सजदों के दरमियान में कुत्ते की तरह बैठना यानी घुटनों को सीने से मिलाकर दोनों हाथों को ज़मीन पर रख कर सुरीन के बल बैठना मर्द का सजदे में कलाईयों का बिछाना,किसी शख़्स के मुँह के सामने नमाज़ पढ़ना मकरूहे तहरीमी है,यूँही दूसरे शख़्स को मुसल्ली (नमाज़ी) की तरफ़ मुँह करना भी नाजाइज़ व गुनाह है यानी अगर मुसल्ली की जानिब से हो तो कराहत मुसल्ली पर है वर्ना उस पर

मसअ्ला :– अगर मुसल्ली और उस शख़्स के दरमियान जिस का मुँह मुसल्ली की तरफ़ है फ़ासिला हो जब भी कराहत है मगर जबकि कोई शय दरमियान में हाइल हो कि क़ियाम में भी सामना न होता हो तो हरज नहीं और अगर क़ियाम में तो सामना हो क़ुऊ़द में न हो मसलन दोनों के दरमियान में एक शख़्स मुसल्ली की तरफ़ पीठ कर के बैठ गया कि इस सूरत में क़ुऊ़द में तो सामना न होगा मगर क़ियाम में होगा तो अब भी कराहत है। यानी जब यह नमाज़ की हालत में खड़ा हुआ होगा तब तो सामने होगा लेकिन जब वह बैठा हुआ होगा तब नहीं ऐसी हालत में भी मकरूह है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– कपड़े में इस तरह लिपट जाना कि हाथ भी बाहर न हो मकरूहे तहरीमी है। अ़लावा नमाज़ के भी बे–ज़रूरत इस तरह कपड़े में लिपटना न चाहिए और ख़तरे की जगह सख़्त मना है।

मसअ्ला :– एअ्तिजार यानी पगड़ी इस तरह बाँधना कि बीच सर पर न हो मकरूहे तहरीमी है। नमाज़ के अ़लावा भी इस तरह इमामा बाँधना मकरूह है ,यूँही नाक और मुँह को छिपाना और बे–ज़रूरत खंकार निकालना यह सब मकरूहे तहरीमी हैं। (दुर्रेमुख़्तार, जि. 1 स. 438 आलमगीरी जि. 1 स. 100)

मसअ्ला :– नमाज़ में जानबूझ कर जमाही लेना मकरूहे तहरीमी है और ख़ुद आये तो हरज नहीं मगर रोकना मुस्तहब है अगर रोके से न रुके तो होंट को दांतों से दबाए और इस पर भी न रुके तो दाहिना या बाँया हाथ मुँह पर रख दे या आस्तीन से मुँह छिपा ले क़ियाम में दाहिने हाथ से ढाके और दूसरे मौक़े पर बायें से। (मराक़िलफ़लाह स. 194)

फ़ाइदा :– अम्बिया अ़लैहिमुस्सलातु वस्सलाम जमाही से महफ़ूज़ हैं इस लिए कि इसमें शैतान का दख़्ल है। नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जमाही शैतान की तरफ़ से है जब तुम में किसी को जमाही आये तो जहाँ तक मुमकिन हो रोके। इस हदीस को इमाम बुख़ारी व मुस्लिम ने सहीहैन में रिवायत किया बल्कि बाज़ रिवायतों में है कि शैतान मुँह खोल देता है शैतान उसके मुँह में थूक देता है और वह जो इसका मुँह बिगड़ा देखकर ठट्टा लगाता है और वह जो रुतूबत निकलती है वह शैतान का थुक है। इसके रोकने की बेहतर तरकीब यह है कि जब आती मालूम हो तो दिल में ख़्याल करे कि अम्बिया अ़लैहिमुस्सलातु वस्सलाम इससे महफ़ूज़ हैं फ़ौरन रुक जायेगी।

मसअ्ला :– जिस कपड़े पर जानदार की तस्वीर हो उसे पहनकर नमाज़ पढ़ना मकरूहे तहरीमी है नमाज़ के अ़लावा भी ऐसा कपड़ा पहनना नाजाइज़ है,यूँही मुसल्ली के सर पर यानी छत में हो या लटकी हुई हो या सजदों की जगह में हो कि उस पर सजदा करता हो तो नमाज़ मकरूहे तहरीमी

होगी,यूँही मुसल्ली के आगे या दाहिने या बायें तस्वीर का होना मकरूहे तहरीमी है, और इन चारों सूरतों में कराहत उस वक़्त है कि तस्वीर अगे पीछे दाहिने बायें लटकी हो या नसब हो या दीवार वग़ैरा में बनी हुई हो अगर फ़र्श में है और उस पर सजदा नहीं तो कराहत नहीं। अगर तस्वीर ग़ैर जानदार की है जैसे पहाड़ दरिया वग़ैरा की तो इसमें कुछ हरज नहीं। (आम्मए कुतुब)

मसअला :– अगर तस्वीर ज़िल्लत की जगह हो मसलन जूतियाँ उतारने की जगह या और किसी जगह फ़र्श पर कि लोग उसे रौंदते हों या तकिये पर कि ज़ानू वग़ैरा के नीचे रखा जाता हो तो ऐसी तस्वीर मकान में होने से कराहत नहीं न इससे नमाज़ में कराहत आये जबकि सजदा उस पर न हो। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– जिस तकिये पर तस्वीर हो उसे मन्सूब करना (यानी क़ायदे से लगाकर रखना) पड़ा हुआ न रखना तस्वीर की इज़्ज़त में दाख़िल होगा और इस तरह होना भी नमाज़ को मकरूह कर देगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– अगर हाथ में या और किसी जगह बदन पर तस्वीर हो मगर कपड़ों से छिपी हो या अँगूठी पर छोटी तस्वीर मुनक़्क़श (बनी हुई) हो या आगे पीछे दाहिने बायें ऊपर नीचे किसी जगह छोटी तस्वीर हो यानी इतनी कि उस को ज़मीन पर रख कर खड़े होकर देखें तो आज़ा की तफ़सील यानी तस्वीर की बनावट साफ़ न दिखाई दे या पाँव के नीचे बैठने की जगह हो तो इन सब सूरतों में नमाज़ मकरूह नहीं। (दुर्रेमुख़्तार जि. 1 स. 436)

मसअला :– तस्वीर सर–बुरीदा यानी सर कटी हुई या जिसका चेहरा मिटा दिया हो मसलन काग़ज़ कपड़े या दीवार पर हो तो उस पर रोशनाई फेर दी हो या उसके सर और चेहरे को खुरच डाला या धो डाला हो तो कराहत नहीं। (रद्दुलमुहतार जि. 1 स. 436)

मसअला :– अगर तस्वीर का सर कटा हो मगर सर अपनी जगह पर लगा हुआ है और जुदा न हुआ तो भी कराहत है मसलन कपड़े पर तस्वीर थी उसकी गर्दन पर सिलाई कर दी कि मिस्ल तौक़ के बन गई। (रद्दुलमुहतार जि. 1 स. 436)

मसअला :– मिटाने में सिर्फ़ चेहरे का मिटाना कराहत से बचने के लिये काफ़ी है अगर आँख या भौं या हाथ–पाँव जुदा कर लिए गये तो इससे कराहत दफ़ा (दूर)न होगी। (रद्दुलमुहतार जि.1 स. 436)

मसअला :– थैली या जेब में तस्वीर छुपी हुई है तो नमाज़ में कराहत नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– तस्वीर वाला कपड़ा पहने हुए है और उसी पर कोई दूसरा कपड़ा पहन लिया कि तस्वीर छुप गई तो अब नमाज़ मकरूह न होगी। (रद्दुल मुहतार जि. 1 स. 436)

मसअला :– यूँ तो तस्वीर जब छोटी न हो और मौज़ए एहानत यानी तौहीन की जगह में न हो और उस पर पर्दा न हो तो हर हालत में उसके सबब नमाज़ मकरूहे तहरीमी होती है मगर सब से बढ़कर कराहत उस सूरत में है जब तस्वीर मुसल्ली के आगे क़िब्ले को हो फिर वह कि सर के ऊपर हो इसके बाद वह कि दाहिने बांए दीवार पर हो फिर वह कि पीछे हो दीवार या पर्दे पर।

(रद्दुलमुहतार, जि.1 स. 437 आलमगीरी)

मसअला :– यह अहकाम तो नमाज़ के हैं,रहा तस्वीर का रखना इसकी निस्बत सही हदीस में इरशाद हुआ कि जिस घर में कुत्ता हो या तस्वीर उसमें रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते यानी जबकि

तौहीन के साथ न हो और न उतनी छोटी तस्वीरें हों जिसका बयान पहले हो चुका।

मसअ्ला :– रुपये अशरफ़ी और दूसरे सिक्के की तस्वीरें भी फ़रिश्तों के दाख़िल होने से रोकने वाली हैं या नहीं इमाम क़ाज़ी अयाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फ़रमाते हैं कि नहीं और हमारे उलमाए किराम के कलिमात से भी यही ज़ाहिर है। (रद्दुलमुहतार, जि.1 स. 437 दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :– यह अहकाम तो तस्वीर के रखने में हैं कि सूरते एहानत व ज़रूरत वग़ैराहुमा मुसतस्ना (अलग) हैं रहा तस्वीर बनाना या बनवाना वह बहरहाल हराम है। (रद्दुलमुहतार जि 1–437) ख़्वाह दस्ती हो यानी हाथ की बनी या अक्सी यानी कैमरे से खींची दोनों का एक हुक्म है।

मसअ्ला :– उल्टा क़ुर्आन मजीद पढ़ना, किसी वाजिब को तर्क करना मकरूहे तहरीमी है मसलन रुकू व सुजूद में पीठ सीधी न करना यूँही क़ौमा और जलसा में सीधा होने से पहले सजदे को चले जाना, क़ियाम के अलावा और किसी मौक़े पर क़ुर्आन मजीद पढ़ना, या रुकू में क़िरात ख़त्म करना, इमाम से पहले मुक़तदी का रुकू व सुजूद वग़ैरा में जाना या उससे पहले सर उठाना। (आलमगीरी जि 1 स 100)

मसअ्ला :– सिर्फ़ पाजामा या तहबन्द पहनकर नमाज़ पढ़ी और कुर्ता या चादर मौजूद है तो नमाज़ मकरूहे तहरीमी है और जो दूसरा कपड़ा नहीं तो माफ़ी है। (आलमगीरी,जि 1–100 गुनिया स 337)

मसअ्ला :– इमाम को किसी आने वाले की ख़ातिर नमाज़ को तूल ,कर देना मकरूहे तहरीमी है अगर उसको पहचानता हो और उसका लिहाज़ दिल में हो, और अगर नमाज़ पर उस की मदद के लिए एक दो तस्बीह के मिक़दार बढ़ा दिया तो कराहत नहीं। (आलमगीरी 1–102) जल्दी में सफ़ के पीछे ही से अल्लाहु अकबर कहकर शामिल हो गया फिर सफ़ में दाख़िल हुआ यह मकरूहे तहरीमी है। (आलमगीरी 1–103)

मसअ्ला :– ग़सब की हुई ज़मीन या पराए खेत में जिसमें खेती मौजूद है या जुते हुए खेत में नमाज़ पढ़ना मकरूहे तहरीमी है। क़ब्र का सामने होना अगर मुसल्ली व क़ब्र के दरमियान कोई चीज़ हाइल(आढ़) न हो तो मकरूहे तहरीमी है। (दुर्रेमुख़्तार, जि. 1 स. 255 आलमगीरी जि 1 स 100)

मसअ्ला :– कुफ़्फ़ार के इबादतख़ानों में नमाज़ पढ़ना मकरूह है कि वह शैतानों की जगह हैं और ज़ाहिर कराहते तहरीम यानी मकरूहे तहरीमी (बहरुर्राइक़ जि. 1 स. 214) बल्कि उनमें जाना भी मना है। (रद्दुल मुहतार जि.1 स. 254)

मसअ्ला :– उल्टा कपड़ा पहन कर या ओढ़ कर नमाज़ पढ़ना मकरूह है और ज़ाहिर यह है कि मकरूहे तहरीमी है। यूँही अंगरखे के बंद न बाँधना और अचकन वग़ैरा के बटन न लगाना अगर उसके नीचे कुर्ता वग़ैरा नहीं और सीना खुला रहा तो ज़ाहिर कराहते तहरीमी है और नीचे कुर्ता वग़ैरा है तो मकरूहे तनज़ीही।

यहाँ तक तो वह मकरूहात बयान हुए जिनका मकरूहे तहरीमी होना उन बड़ी–बड़ी किताबों में ज़िक्र है जिनको हनफ़ी उलमाए अहलेसुन्नत ने सही माना है बल्कि इसी पर एअ्तिमाद(यक़ीन)किया है अब बाज़ दीगर मकरूहात बयान किये जाते हैं कि इन में अक्सर का मकरूहे तन्ज़ीही होना साफ़–साफ़ लिखा है और बाज़ में इख़्तिलाफ़ है 'मगर' राजेह (तरजीह) है कि मकरूहे तनज़ीही है।

(1)सजदा या रुकू में बिला ज़रूरत तीन तस्बीह से कम कहना हदीस में इसी को मुर्ग़ की सी ठोंग मारना फ़रमाया ,हाँ वक़्त की तंगी या रेल चले जाने के ख़ौफ़ से हो तो हरज नहीं और अगर

मुक़तदी तीन तस्बीह न कहने पाया था कि इमाम ने सर उठा लिया तो इमाम का साथ दे।
मसअ्ला :– (2) काम काज के कपड़ों से नमाज़ पढ़ना मकरूहे तन्ज़ीही है जबकि उसके पास और कपड़े हों वर्ना कराहत नहीं। (मुतून)
मसअ्ला :– (3) मुँह में कोई चीज़ लिए हुए नमाज़ पढ़ना पढ़ाना मकरूह है जबकि क़िरात से मानेअ् (रोकने वाला) न हो और अगर क़िरात को रोकता हो मसलन आवाज़ ही न निकले या इस क़िस्म के अल्फ़ाज़ निकलें कि क़ुर्आन के न हों तो नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी।(दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार जि.1 स. 430)
मसअ्ला :– (4) सुस्ती से नंगे सर नमाज़ पढ़ना यानी टोपी पहनना बोझ मालूम होता हो या गर्मी मालूम होती हो मकरूहे तन्ज़ीही है और अगर नमाज़ की तौहीन का इरादा है मसलन यह समझता है कि नमाज़ कोई शान की चीज़ नहीं जिसके लिए टोपी,इमामा पहना जाये तो यह कुफ़्र है और खुशूअ् व खुज़ूअ् के लिए सर बरहना (नंगे सर) पढ़ी तो मुस्तहब है।(दुर्रे मुख़्तार,,रद्दुल मुहतार जि. 1 स. 431)
मसअ्ला (5) नमाज़ में टोपी गिर पड़ी तो उठा लेना अफ़ज़ल है जबकि अमले कसीर की हाजत न पड़े वर्ना नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी और बार–बार उठानी पड़े तो छोड़ दे और न उठाने से खुज़ू मक़सूद हो तो न उठाना अफ़ज़ल है। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार)
मसअला :– पेशानी से ख़ाक या घास छुड़ाना मकरूह है जबकि इनकी वजह से नमाज़ में तशवीश न हो यानी ख़्याल न बटे और तकब्बुर मक़सूद हो तो कराहते तहरीमी है और अगर तकलीफ़ देने वाली हों या ख़्याल बटता हो तो छुड़ाने में हरज नहीं। और नमाज़ के बाद छुड़ाने में तो बिल्कुल हरज नहीं बल्कि छुड़ा लेना चाहिए ताकि रिया न आने पाये। (आलमगीरी जि 1 स. 99)
मसअला :– यूँही हाजत के वक़्त पेशानी से पसीना पोंछना बल्कि हर वह अमले क़लील ऐसा छोटा सा काम जिस से नमाज़ नहीं जाती)कि मुसल्ली के लिए मुफ़ीद हो जाइज़ है और जो मुफ़ीद न हो मकरूह है। (आलमगीरी जि. 1स . 199)
मसअला :– नमाज़ में नाक से पानी बहा उसको पोंछ लेना ज़मीन पर गिरने से बेहतर है और अगर मस्जिद में है तो ज़रूर दामन वग़ैरा से पोंछ लेना चाहिए। (आलमगीरी जि 1 स. 99)
मसअ्ला :– (6)नमाज़ में उंगलियों पर आयतों और सूरतों और तस्बीहात का गिनना मकरूह है नमाज़ फ़र्ज़ हो चाहे नफ़्ल और दिल में शुमार रखना या पोरों को दबाने से तादाद महफ़ूज़ रखना और सब उंगलियाँ सुन्नत तरीक़े पर अपनी जगह पर हों इसमें कुछ हरज नहीं मगर ख़िलाफ़े औला है कि दिल दूसरी तरफ़ मुतवज्जेह होगा और ज़ुबान से गिनना मुफ़सिदे नमाज़ है।(दुर्रेमुख़्तार जि.1 स.437वग़ैरा)
मसअ्ला :– नमाज़ के अलावा उंगलियों पर शुमार करने में कोई हरज नहीं। बल्कि बाज़ अहादीस में अक़्दे अनामिल यानी उंगलियों को बन्द कर के शुमार करने का हुक्म है और यह आया है कि उंगलियों से सवाल होगा और वह बोलेंगी। (रद्दुलमुहतार जि. 1 स. 437)
मसअ्ला :– तस्बीह रखने में हर्ज नहीं जबकि रिया (दिखावे) के लिए न हो।(रद्दुलमुहतार जि. 1 स. 437)
मसअ्ला :– (7) हाथ या सर के इशारा से सलाम का जवाब देना मकरूह है। (दुर्रे मुख़्तार जि. 1 स. 433)
मसअ्ला :– (8) नमाज़ में बग़ैर उज़्र चार ज़ानू(पालथी मार कर)बैठना मकरूह है और उज़्र हो तो हरज नहीं और अलावा नमाज़ के इस तरह बैठने में कोई हरज नहीं। (दुर्रे मुख़्तार जि.1 स. 433)
मसअ्ला :– (9) नमाज़ में दामन या आस्तीन से अपने को हवा पहुँचाना मकरूह है (आलमगीरी) जबकि

दो एक बार हो (मराक़िलफ़लाह)यह उस क़ौल की बिना पर कि एक रुक्न में तीन बार हरकत को मुफ़सिदे नमाज़ कहा और पंखा झलना मुफ़सिदे नमाज़ है कि दूर से देखने वाला समझेगा कि नमाज़ में नहीं। (मुन्तक़ा ज़ख़ीरा,मुहीत,रज़वी, तहतावी अला मराक़िल फ़लाह जि. 1 स. 194)

मसअ्ला :– (10) इसबाल यानी कपड़ा हद से ज़्यादा दराज़ रखना मना है। नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब नमाज़ पढ़ो तो लटकते कपड़े को उठा लो कि उसमें से जो शय ज़मीन को पहुँचेगी वह नार में है बुख़ारी ने अपनी तारीख़ में और त़बरानी ने कबीर में इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत किया। "दामनों और पाइचों में इसबाल यह है कि टख़नों से नीचे हों और आस्तीनों में उंगलियों से नीचे और इमामा में यह कि बैठने में दबे।

मसअ्ला :– (11) अगंड़ाई लेना और (12) बिलक़स्द (जानबूझ कर) खांसना या (13) खंकारना मकरूह है और अगर त़बीअ़त दफ़ा कर रही है तो हरज नहीं और (14) नमाज़ में थूकना भी मकरूह है (आलमगीरी जि 1 स. 100) त़हत़ावी,अ़ला मराक़िलफ़लाह में अंगड़ाई को फ़रमाया ज़ाहिर में मकरूहे तन्ज़ीही है।

मसअ्ला :– (15) सफ़ में मुनफ़रिद (तन्हा नमाज़ पढ़ने वाला) को खड़ा होना मकरूह है कि क़ियाम व क़ुऊ़द वग़ैरा अफ़आ़ल लोगों के मुख़ालिफ़ अदा करेगा, (16) यूँही मुक़तदी को सफ़ के पीछे तन्हा खड़ा होना मकरूह है जबकि सफ़ में जगह मौजूद हो और अगर सफ़ में जगह न हो तो हरज नहीं और अगर किसी को सफ़ में से खींच ले और उसके साथ खड़ा हो तो यह बेहतर है मगर यह ख़्याल रहे कि जिसको खींचे वह इस मसअ्ले से वाक़िफ़ हो कि कहीं इसके खींचने से अपनी नमाज़ न तोड़ दे (आलमगीरी जि. 1 स. 100)और चाहिए यह कि यह किसी को इशारा करे उसे यह चाहिए कि पीछे न हटे इस पर से कराहत दफ़ा हो गई। (फ़तहुल क़दीर)

मसअ्ला :– (17) फ़र्ज़ की एक रकअ़त में किसी आयत को बार बार पढ़ना हालते इख़्तियार में मकरूह है और अगर उ़ज़्र से हो तो हरज नहीं। (18) यूँही किसी एक सूरत को बार बार पढ़ना भी मकरूह है। (आलमगीरी जि.1 स. 101 ,ग़ुनिया 462)

मसअ्ला :– (19) सजदे को जाते वक़्त घुटने से पहले हाथ रखना और (20)उठते वक़्त हाथ से पहले घुटने उठाना बिला उ़ज़्र मकरूह है। (ग़ुनिया स. 138)

मसअ्ला :– (21) रुकू में सर को पुश्त से ऊँचा या नीचा करना मकरूह है। (ग़ुनिया स. 140)

मसअ्ला :– (22) बिस्मिल्लाह और अऊ़ज़ुबिल्लाह व सना और आमीन ज़ोर से कहना या (23)अज़कारे नमाज़ को उनकी जगह से हटाकर पढ़ना मकरूह है।(ग़ुनिया, 430 आलमगीरी जि. 1 स. 101)

मसअ्ला :– (24) बग़ैर उ़ज़्र दीवार या अ़सा (छड़ी) पर टेक लगाना मकरूह है और उ़ज़्र से हो तो हरज नहीं बल्कि फ़ज्र व वाजिब व सुन्नते फ़ज्र के क़ियाम में उस पर टेक लगा कर खड़ा होना फ़र्ज़ है जबकि बग़ैर उसके क़ियाम न हो सके। जैसा कि बहसे क़ियाम में ज़िक्र हुआ।(ग़ुनिया स. 341)

मसअ्ला :– (25) रुकू में घुटनों पर और (26) सजदों में ज़मीन पर हाथ न रखना मकरूह है। (आलमगीरी जि. 1 स. 102)

मसअ्ला :– (27) इमामा को सर से उतार कर ज़मीन पर रख देना या ज़मीन से उठाकर सर पर रख लेना मुफ़सिदे नमाज़ नहीं अलबत्ता मकरूह है। (आलमगीरी जि. 1 स. 101)

मसअला :– (29) आस्तीन को बिछा कर सजदा करना ताकि चेहरे पर ख़ाक न लगे मकरूह है और तकब्बुर की वजह से हो तो कराहते तहरीमी और गर्मी से बचने के लिए कपड़े पर सजदा किया तो हरज नहीं। (आलमगीरी जि.1 स. 101)

मसअ्ल :– आयते रहमत पर सवाल करना और आयते अज़ाब पर पनाह माँगना मुनफ़रिद(तन्हा नमाज़ पढ़ने वाला) के लिये जाइज़ है, (30) इमाम व मुक़तदी को मकरूह। और अगर मुक़तदियों को भारी लगे तो इमाम को मकरूहे तहरीमी है।

मसअ्ला :– (31) दाहिने बायें झूमना मकरूह है और तरावुह यानी कभी एक पाँव पर ज़ोर दिया कभी दूसरे पर यह सुन्नत है (हिलया)

मसअ्ला :– (32) उठते वक़्त आगे पीछे पाँव उठाना मकरूह है और सजदे को जाते वक़्त दाहिनी जानिब ज़ोर देना और उठते वक़्त बायें पैर पर ज़ोर देना मुस्तहब है। (आलमगीरी जि. 1 स. 101)

मसअ्ला :– (33) नमाज़ में आँखें बन्द रखना मकरूह है मगर जब खुली रहने में खुशू न होता हो तो बन्द करने में हरज नहीं बल्कि बेहतर है। (दुर्रेमुख़्तार रद्दुलमुहतार जि. 1 स. 434)

मसअ्ला :– (34) सजदा वग़ैरा में क़िब्ले से उंगलियों को फेर देना मकरूह है।(आलमगीरी जि.1 स. 101)

मसअ्ला :– जूँ या मच्छर जब ईज़ा पहुँचाते हों तो पकड़ कर मार डालने में हरज नहीं। (गुनिया) यह जब है जबकि अ़मले कसीर की हाजत न हो।

मसअ्ला :– (35) इमाम को तन्हा मेहराब में खड़ा होना मकरूह है और अगर बाहर खड़ा हुआ सजदा मेहराब में किया या वह तन्हा न हो बल्कि उसके साथ कुछ मुक़तदी भी मेहराब के अंदर हों तो हरज नहीं,यूँही अगर मुक़तदियों पर मस्जिद तंग हो तो भी मेहराब में खड़ा होना मकरूह नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, जि. 1 स. 434 आलमगीरी जि. 1 स. 101)

मसअ्ला :– (36) इमाम को दरों में खड़ा होना मकरूह है, (37) यूँही इमामे जमाअ़ते ऊला (पहली जमाअ़त के इमाम)को मस्जिद के ज़ाविए(कोने)व जानिब में खड़ा होना भी मकरूह है,उसे सुन्नत यह है कि वस्त(बीच)में खड़ा हो और इसी वस्त का नाम मेहराब है चाहें वहाँ ताक़ मारूफ़ हो या न हो, तो अगर वस्त (बीच) छोड़कर दूसरी जगह खड़ा हो अगर्चे उसके दोनों तरफ़ सफ़ के बराबर–बराबर हिस्सें हों मकरूह है। (रद्दुल मुहतार जि. 1 स. 434)

मसअ्ला :– (38)इमाम का तन्हा बलन्द जगह खड़ा होना मकरूह है। बलन्दी की मिक़दार यह है कि देखने में उसकी ऊँचाई ज़ाहिर मुमताज़ हो यानी अलग–सी हो फिर यह बलन्दी अगर क़लील(कम) हो तो कराहते तन्ज़ीही है वर्ना ज़ाहिर तहरीमी है (39) इमाम नीचे हो और मुक़तदी बलंद जगह पर यह भी मकरूह ख़िलाफ़े सुन्नत है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा जि.1 स. 434)

मसअ्ला :– (40) कअ्बए मुअज़्ज़मा और मस्जिद की छत पर नमाज़ पढ़ना मकरूह है कि इसमें तर्के तअ्ज़ीम है। (आलमगीरी जि.1 स. 101)

मसअ्ला :– (41) मस्जिद में कोई जगह अपने लिये ख़ास कर लेना कि वहीं नमाज़ पढ़े यह मकरूह है। (आलमगीरी जि.1 स. 101)

मसअ्ला :– कोई शख़्स खड़ा या बैठा बातें कर रहा है उसके पीछे नमाज़ पढ़ने में कराहत नहीं जबकि बातों से दिल बटने का ख़ौफ़ न हो,क़ुर्आन शरीफ़ और तलवार के पीछे और सोने वाले के

पीछे नमाज़ पढ़ना मकरूह नहीं। (दुर्रेमुख़्तार रद्दुलमुहतार जि. 1 स. 436)

मसअ्ला :– (42) तलवार व कमान वग़ैरा लटकाए हुए नमाज़ पढ़ना मकरूह है जबकि इनकी हरकत से दिल बटे वर्ना हरज नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– (43)जलती आग नमाज़ी के आगे होना बाइसे कराहत है,शमा या चराग़ में कराहत नहीं

मसअ्ला :– (44) हाथ में कोई ऐसा माल हो जिस के रोकने की ज़रूरत होती है उसको लिए हुए नमाज़ पढ़ना मकरूह है मगर जब ऐसी जगह हो कि बग़ैर उसके हिफ़ाज़त नामुमकिन हो तो मकरूह नहीं (45) सामने पाख़ाना वग़ैरा नजासत होना या ऐसी जगह नमाज़ पढ़ना कि वह मुज़न्नए नजासत हो यानी उस जगह नजासत का गुमान (शक) हो तो नमाज़ मकरूह है। (आलमगीरी 102)

मसअ्ला :– (46) सजदे में रान को पेट से चिपका देना (47) या हाथ से बग़ैर उज़्र मक्खी,पिस्सू उड़ाना मकरूह है(आलमगीरी)मगर औरत सजदे में रान पेट से मिला देगी।

मसअ्ला :– क़ालीन और बिछौनों पर नमाज़ पढ़ने में हरज नहीं जबकि इतने नरम और मोटे न हों कि सजदे में पेशानी न ठहरे वर्ना नमाज़ न होगी। (ग़ुनिया 347)

मसअ्ला :– (48)ऐसी चीज़ के सामने जो दिल को मश्ग़ूल रखे नमाज़ मकरूह है जैसे ज़ीनत और लहव लइब(खेलकूद) वग़ैरा (रद्दुल मुहतार जि. 1 स. 437)

मसअ्ला :– (49) नमाज़ के लिए दौड़ना मकरूह है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– (50)आम रास्ता (51)कूड़ा डालने की जगह,(52) मज़बह (जहाँ जानवर ज़िबह किए जाते हैं),(53) क़ब्रिस्तान, (54)गुस्लख़ाना, (55) हम्माम, (56) नाला, (57) मवेशीख़ाना ख़ुसूसन ऊँट बाँधने की जगह,(58) अस्तबल, (59) पाख़ाने की छत और (60) सेहरा (जंगल)में बिला सुतरे के जबकि ख़ौफ हो कि आगे से लोग गुज़रेंगे इन जगहों में नमाज़ मकरूह है। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– मक़बरा में जो जगह नमाज़ के लिए मुक़र्रर हो और उसमें क़ब्र न हो तो वहाँ नमाज़ में हरज नहीं और कराहत उस वक़्त है कि क़ब्रिस्तान सामने हो और मुसल्ली और क़ब्र के दरमियान कोई शय सुतरा की क़द्र हाइल न हो वर्ना अगर क़ब्र दाहिने बायें या पीछे हो या बक़द्रे सुतरा कोई चीज़ हाइल हो तो कुछ भी कराहत नहीं। (आलमगीरी जि. 1 स. 100)

मसअ्ला :– एक ज़मीन मुसलमान की हो दूसरी काफ़िर की तो मुसलमान की ज़मीन पर नमाज़ पढ़े अगर खेती न हो वर्ना रास्ता पर पढ़े काफ़िर की ज़मीन पर न पढ़े और अगर ज़मीन में खेती है मगर इसमें और मालिके ज़मीन में दोस्ती है कि उसे नागवार न होगा तो पढ़ सकता है।(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– साँप वग़ैरा के मारने के लिए जबकि ईज़ा का अन्देशा सही हो, या कोई जानवर भाग गया उस के पकड़ने के लिए या बकरियों पर भेड़िये के हमला करने के ख़ौफ़ से नमाज़ तोड़ देना जाइज़ है,यूँही अपने या पराए के एक दिरहम के नुक़सान का ख़ौफ़ हो मसलन दूध उबल जायेगा या गोश्त तरकारी रोटी वग़ैरा जल जाने का ख़ौफ़ हो या एक दिरहम की कोई चीज़ चोर उचक्का ले भागा इन सूरतों में नमाज़ तोड़ देने की इजाज़त है।(दुर्रेमुख़्तार, जि. 1 स. 440 आलमगीरी जि.1 स. 102)

मसअ्ला :– पाख़ाना या पेशाब मालूम हुआ या कपड़े या बदन में इतनी नजासत लगी देखी कि नमाज़ दुरूस्त होने में रुकावट न हो या उस को किसी अजनबी औरत ने छू दिया तो नमाज़ तोड़

देना मुस्तहब है बशर्ते कि वक़्त व जमाअत न फौत हो और पाख़ाना पेशाब की हाजत शदीद मालूम होने में तो जमाअत के फौत हो जाने का भी ख़्याल न किया जायेगा अलबत्ता वक़्त के ख़त्म होने का लिहाज़ होगा। (दुर्रेमुख़्तार, जि. 1 स 440 रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– कोई मुसीबतज़दा फरियाद कर रहा हो इसी नमाज़ी को पुकार रहा हो या मुतलकन किसी शख़्स को पुकारता हो या कोई डूब रहा हो या आग से जल जायेगा या अंधा राहगीर जा रहा है और सामने कुआँ है मगर यह नमाज़ी उस अंधे को न पकड़ेगा तो कुंए में अंधा गिर जायेगा इन सब सूरतों में नमाज़ तोड़ देना वाजिब है जबकि यह उसके बचाने पर क़ादिर हो। (दुर्रे मुख़्तार जि 1 स. 440)

मसअ्ला :– माँ–बाप, दादा दादी, वग़ैरा उसूल के सिर्फ़ बुलाने से नमाज़ तोड़ना जाइज़ नहीं। अलबत्ता अगर उनका पुकारना भी किसी बड़ी मुसीबत के लिए हो जैसे ऊपर ज़िक्र हुआ तो तोड़ दे। यह हुक्म फ़र्ज़ का है और अगर नफ़्ल नमाज़ है और उनको मालूम है कि नमाज़ पढ़ता है तो उनके मामूली पुकारने से नमाज़ न तोड़े और इसका नमाज़ पढ़ना उन्हें मअ्लूम न हो और पुकारा तो तोड़ दे और जवाब दे अगर्चे मामूली तौर से बुलायें। (दुर्रेमुख़्तार, जि.1 स. 440 रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– नफ़्ल नमाज़ की नियत बाँध कर अगर किसी वजह से तोड़ दिया तो दोबारा उस नफ़्ल को पढ़ना लाज़िम है।

अह्कामे मस्जिद का बयान

अल्लाह तआला फ़रमाता है :–

اِنَّمَا یَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰہِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰہِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوۃَ وَاٰتَی الزَّکٰوۃَ وَلَمْ یَخْشَ اِلَّا اللّٰہَ فَعَسٰٓی اُولٰٓئِکَ اَنْ یَّکُوْنُوْا مِنَ الْمُھْتَدِیْنَ ۝ (پ ۱۰ ع ۹)

तर्जमा :– "मस्जिदें वही आबाद करते हैं जो अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाये और नमाज़ क़ाइम की और ज़कात दी और ख़ुदा के सिवा किसी से न डरे बेशक वह राह पाने वालों से होंगे"

हदीस न.1से 4 :– बुख़ारी व मुस्लिम व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं मर्द की नमाज़ मस्जिद में जमाअत के साथ घर में और बाज़ार में पढ़ने से पच्चीस दर्जे ज़ाइद है और यह यूँ है कि जब अच्छी तरह वुज़ू करके मस्जिद के लिए निकला तो जो क़दम चलता है उससे दर्जा बलन्द होता है और गुनाह मिटता है और जब नमाज़ पढ़ता है तो मलाइका बराबर उस पर दुरूद भेजते रहते हैं जब तक अपने मुसल्ले पर है और हमेशा नमाज़ में है जब तक नमाज़ का इन्तिज़ार कर रहा है। इमाम अहमद व अबू यअ्ला वग़ैरा की रिवायत उक़्बा इब्ने आमिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं हर क़दम के बदले दस नेकियाँ लिखी जाती हैं और जब से घर से निकलता है वापसी तक नमाज़ पढ़ने वालों में लिखा जाता है इन्हीं रिवायतों के क़रीब–क़रीब इब्ने उमर व इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुम से भी मरवी है।

हदीस न.5 :– नसई ने हज़रते उसमान रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो अच्छी तरह वुज़ू कर के फ़र्ज़ नमाज़ को गया

और मस्जिद में नमाज़ पढ़ी उस की मग़फ़िरत हो जायेगी।

हदीस न.6 :– मुस्लिम वग़ैरा ने रिवायत की कि जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं मस्जिदे नबवी के आसपास कुछ ज़मीनें ख़ाली हुई, बनी सलमा ने चाहा कि मस्जिद के करीब आ जायें यह ख़बर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पहुँची, फ़रमाया मुझे ख़बर पहुँची है कि तुम मस्जिद के क़रीब उठ आना चाहते हो। अर्ज़ की या रसूलल्लाह! हाँ इरादा तो है। फ़रमाया ऐ बनी सलमा! अपने घरों ही में रहो तुम्हारे क़दम लिखे जायेंगे, दो बार इस को फ़रमाया। बनी सलमा कहते हैं लिहाज़ा हम को घर बदलना पसन्द न आया।

हदीस न. 7 :– इब्ने माजा ने रिवायत की कि इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं अन्सार के घर मस्जिद से दूर थे उन्होंने करीब आना चाहा इस पर यह आयत नाज़िल हुई:–

وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ

तर्जमा :– " जो उन्होंने नेक काम आगे भेजे वह और उनके निशाने क़दम हम लिखते हैं"।

हदीस न.8 :– बुख़ारी व मुस्लिम ने अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं सबसे बढ़कर नमाज़ में उसका सवाब है जो ज़्यादा दूर से चल कर आये।

हदीस न.9 :– मुस्लिम वग़ैरा की रिवायत है उबई इब्ने कअ़ब रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं एक अन्सारी का घर मस्जिद से सबसे ज़्यादा दूर था और कोई नमाज़ उनकी ख़ता न होती । उनसे कहा गया काश तुम कोई सवारी ख़रीद लो कि अंधेरे और गर्मी में उस पर सवार होकर आओ। जवाब दिया मैं चाहता हूँ कि मेरा मस्जिद को जाना और फिर घर को वापस आना लिखा जाये। इस पर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह तआला ने तुझे यह सब जमा कर के दे दिया।

हदीस न.10 : – बज़्ज़ाज़ व अबू यअ़ला हज़रते अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं तकलीफ़ में पूरा वुज़ू करना और मस्जिद की तरफ़ चलना और एक नमाज़ के बाद दूसरी का इन्तिज़ार करना गुनाहों को अच्छी तरह धो देता है।

हदीस न.12 :– सहीहैन वग़ैरा में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो मस्जिद को सुबह या शाम को जाये अल्लाह तआला उसके लिए जन्नत में मेहमानी तैयार करता है जितनी बार जाये।

हदीस न.13 से 23 तक :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी बुरीदह रदियल्लहु तआला अन्हु से और इब्ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं "जो लोग अँधेरों में मस्जिद को जाने वाले हैं उन्हें कियामत के दिन कामिल नूर की खुशख़बरी सुना दे"और इसी के क़रीब–क़रीब अबू हुरैरा व अबू दरदा व अबू उमामा व सहल इब्ने सअ़द सअ़दी व इब्ने अब्बास व इब्ने उ़मर व अबी सईद खुदरी व ज़ैद इब्ने हारिसा व उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हुम से मरवी है।

हदीस न.24 :– अबू दाऊद व इब्ने हब्बान अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं तीन शख़्स अल्लाह तआला की ज़मान (ज़िम्मे) में हैं

अगर ज़िन्दा रहें तो रोज़ी दे और किफ़ायत करे, मर जाये तो जन्नत में दाख़िल करे ,जो शख़्स घर में दाख़िल हो और घर वालों पर सलाम करे वह अल्लाह तआ़ला की ज़मान में है और जो मस्जिद को जाये अल्लाह की ज़मान में है और जो अल्लाह तआ़ला की राह में निकला वह अल्लाह तआ़ला की ज़मान में है।

हदीस न. 25 :– तबरानी कबीर में और बैहकी सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं जिसने घर में अच्छी तरह वुज़ू किया फिर मस्जिद को आया वह अल्लाह का ज़ाइर (ज़्यारत करने वाला) है और जिसकी ज़्यारत की जाये उस पर हक़ है कि ज़ाइर का इकराम (इ़ज़्ज़त) करे।

हदीस न.26 :– इब्ने माजा अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लहु तआ़ला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्ल–ल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जो घर से नमाज़ को जाये और यह दुआ पढ़े :–

اَللّٰهُمَّ اِنِّی اَسْئَلُكَ بِحَقِّ السَّآئِلِیْنَ عَلَیْكَ وَ بِحَقِّ مَمْشَایَ هٰذَا فَاِنِّیْ لَمْ اَخْرُجْ اَشِرًا وَّ لَا بَطَرًا وَّ لَا رِیَآءً وَّ لَا سُمْعَةً وَّ خَرَجْتُ اتِّقَاءَ سَخَطِكَ وَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ فَاَسْئَلُكَ اَنْ تُعِیْذَنِیْ مِنَ النَّارِ وَ اَنْ تَغْفِرَلِیْ ذُنُوْبِیْ اِنَّهٗ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ۔

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह ! मैं तुझसे सवाल करता हूँ उस हक़ से कि तूने सवाल करने वालों का अपने ज़िम्मए करम पर रखा है और अपने इस चलने के हक़ से क्यूँकि मैं तकब्बुर व फ़ख़्र के तौर पर घर से नहीं निकला और न दिखाने और सुनाने के लिए निकला मैं निकला लिहाज़ा मैं तेरी नाराज़गी से बचने और तेरी रज़ा की तलब(ख़ुशी चाहने) में निकला लिहाज़ा मैं तुझ से सवाल करता हूँ कि जहन्नम से मुझे पनाह दे और मेरे गुनाहों को बख़्श दे तेरे सिवा कोई गुनाहों को बख़्शने वाला नहीं।"

उसकी तरफ़ (यानी यह दुआ पढ़ने वाले की तरफ़) अल्लाह तआ़ला अपने वजहे करीम (ज़ाते पाक) के साथ मुतवज्जेह होता है और सत्तर हज़ार फ़रिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं।

हदीस न. 27 व 28 व 29 :– सही मुस्लिम में अबू उसैद रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जब कोई मस्जिद में जाये तो कहे :–

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

तर्जमा : "ऐ अल्लाह! तू अपनी रहमत के दरवाज़े मेरे लिए खोल दे"। और जब निकले तो कहे :–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

तर्जमा :–"ऐ अल्लाह ! मैं तुझ से तेरे फ़ज़्ल का सवाल करता हूँ"। और अबू दाऊद की रिवायत अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़म्र इब्ने अ़ास रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से है जब हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मस्जिद जाते तो यह कहते :–

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِیْمِ وَ بِوَجْهِهِ الْكَرِیْمِ وَ سُلْطَانِهِ الْقَدِیْمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ

तर्जमा : " पनाह माँगता हूँ अल्लाह अ़ज़ीम की और उसके वजहे करीम की और सुल्ताने क़दीम की मरदूद शैतान से"।

फ़रमाया है जो इसे कह ले तो शैतान कहता है मुझ से तमाम दिन महफ़ूज़ रहा और तिर्मिज़ी

की रिवायत हज़रते फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु तआला अन्हा से है जब मस्जिद में हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दाख़िल होते तो दुरूद पढ़ते और कहते :–

"رَبِّ اغْفِرْلِیْ ذُنُوْبِیْ وَ افْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ"

तर्जमा :– " ऐ परवर दिगार! तू मेरे गुनाहों को बख़्श दे और मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे" और जब निकलते तो दुरूद पढ़ते और कहते।

رَبِّ اغْفِرْلِیْ ذُنُوْبِیْ وَ افْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ

तर्जमा :– " ऐ रब ! तू मेरे गुनाह बख़्श दे और अपने फ़ज़्ल के दरवाज़े मेरे लिए खोल दे। "

इमाम अहमद व इब्ने माजा की रिवायत में है कि जाते और निकलते वक़्त यह कहते بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ (**तर्जमा** :– अल्लाह के नाम से शुरू और सलाम अल्लाह के रसूल पर।) इसके बाद वह दुआ पढ़ते।

हदीस न.30 से 33 तक :– सही मुस्लिम शरीफ़ में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं" अल्लाह तआला को सब जगह से ज़्यादा महबूब मस्जिदें हैं और सबसे ज़्यादा मबग़ूज़ (बुरी जगहें) बाज़ार हैं " और इसी के मिस्ल जुबैर इब्ने मुतइम व अब्दुल्लाह इब्ने उमर व अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हुम से मरवी है और बाज़ रिवायत में है कि यह कौल अल्लाह तआला का है यानी हदीसे कुदसी है ।

हदीस न.34 :– बुख़ारी व मुस्लिम वग़ैरहुमा उन्हीं से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं सात शख़्स हैं जिन पर अल्लाह तआला साया करेगा उस दिन कि उसके साये के सिवा कोई याया नहीं 1.आदिल इमाम यानी सही इन्साफ़ करने वाला इमामे बरहक़ 2.और वह जवान जिसकी परवरिश अल्लाह तआला की इबादत में हुई 3.वह शख़्स जिसका दिल मस्जिद को लगा हुआ है। 4. और वह दो शख़्स कि आपस में अल्लाह तआला के लिए दोस्ती रखते हैं उसी पर जमा हुए उसी पर जुदा हुए 5. और वह शख़्स जिसे किसी मालदार और हसीन औरत ने बुलाया उसने कह दिया मैं अल्लाह से डरता हूँ 6. और वह शख़्स जिसने कुछ सदका किया और उसे इतना छुपाया कि बाएं को ख़बर न हुई कि दाहिने ने क्या ख़र्च किया 7. वह शख़्स जिसने तन्हाई में अल्लाह तआला को याद किया और आँखों से आँसू बहे।

हदीस न.35 :– तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व इब्ने ख़ुज़ैमा व इब्ने हब्बान व हाकिम अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं "तुम जब किसी को देखो कि मस्जिद का आदी है तो उसके ईमान के गवाह हो जाओ कि अल्लाह तआला फ़रमाता है मस्जिद वही आबाद करते हैं जो अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाए"।

हदीस न.36 :– सहीहैन में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं मस्जिद में थूकना ख़ता है और उसका कफ़्फ़ारा ज़ाइल कर देना है यानी उसे हटा देना या धो देना "।

हदीस न.37 :– सही मुस्लिम में अबूज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु

तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम फ़रमाते हैं मुझ पर मेरी उम्मत के आमाल अच्छे बुरे सब पेश किये गये नेक कामों में अज़ियत(तकलीफ़ पहुँचाने वाली) की चीज़ को रास्ता से दूर करना पाया और बुरे आमाल में थूक मस्जिद में ज़ाइल न किया गया हो।

हदीस न.38 व 39 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व **इब्ने** माजा अनस रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम फ़रमाते हैं" मुझ पर उम्मत के सवाब पेश किए गये यहाँ तक कि तिन्का जो मस्जिद से बाहर कर दे और गुनाह पेश किए गये तो उस से बढ़कर कोई गुनाह नहीं देखा कि किसी को आयत या सूरते क़ुर्आन दी गई और उसने भुला दी"और इब्ने माजा की एक रिवायत अबू सईद खुदरी रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम फ़रमाते हैं "जो मस्जिद से अज़ियत की चीज़ निकाले अल्लाह तआ़ला उसके लिए एक घर जन्नत में बनायेगा"।

हदीस न.40 ता 42 :– इब्ने माजा वासि़ला इब्ने असक़अ़ से और त़बरानी उनसे और अबू दरदा और अबू उमामा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम से रावी कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम फ़रमाते हैं " मस्जिदों को बच्चों और पागलों और ख़रीद व फ़रोख़्त और झगड़े और आवाज़ बलन्द करने और हुदूद क़ाइम करने (कोड़े वग़ैरा लगाने की सज़ा देने)और तलवार खींचने से बचाओ"।

हदीस न.43 :– तिर्मिज़ी व दारमी अबू हुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम फ़रमाते हैं "जब किसी को मस्जिद में ख़रीद व फ़रोख़्त करते देखो तो कहो खुदा तेरी तिजारत में नफ़ाये न दे"।

हदीस न. 44:– बैहक़ी शुअ़बुल ईमान में ह़सन बस़री से रावी कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम फ़रमाते हैं "एक ऐसा ज़माना आयेगा कि मस्जिदों में दुनिया की बातें होंगी तुम उनके साथ न बैठो कि ख़ुदा को उनसे कुछ काम नहीं"।

हदीस न.45 :– इब्ने खुज़ैमा अबू सईद खुदरी रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि " हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम ने एक दिन मस्जिद में क़िब्ले की त़रफ़ थूक देखा उसे साफ़ किया फिर लोगों की त़रफ़ मुतवज्जेह होकर फ़रमाया क्या तुम में कोई इस बात को पसन्द करता है कि उसके सामने ख़ड़ा होकर कोई शख़्स उसके मुँह की त़रफ़ थूक दे "।

हदीस न.46 व 47 :– अबू दाऊद व इब्ने खुज़ैमा व इब्ने ह़ब्बान अबू सईद खुदरी रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम फ़रमाते हैं जो क़िब्ले की जानिब थूके क़ियामत के दिन इस त़रह आयेगा कि उसका थूक दोनों आँखों के दरमियान होगा" और इमाम अह़मद की रिवायत अबू उमामा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है कि फ़रमाया "मस्जिद में थूकना गुनाह है"।

हदीस न.48 :– स़ही बुख़ारी शरीफ़ में है साइब इब्ने यज़ीद रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा कहते हैं कि " मैं मस्जिद में सोया था एक शख़्स ने मुझ पर कंकरी फेंकी देखा तो अमीरूल मोमिनीन फ़ारूक़े

आज़म रिदयल्लाहु तआला अन्हु हैं। फ़रमाया जाओ इन दोनों शख़्सों को मेरे पास लाओ। उन दोनों को हाज़िर लाया। उनसे पूछा गया तुम किस क़बीले के हो या कहाँ के रहने वाले हो। उन्होंने अर्ज़ की हम ताइफ़ के रहने वाले हैं। फ़रमाया अगर तुम मदीना के रहने वाले होते तो मैं तुम्हें सज़ा देता" (कि वहाँ के लोग आदाब से वाकिफ़ थे)मस्जिदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में आवाज़ बलन्द करते हो" ?

अहकामे फ़िक़्हिय्या

मसअला :– क़िब्ले की तरफ़ क़स्दन (जानबूझ कर) पाँव फैलाना मकरूह है सोते में हो या जागते में। यूँही क़ुर्आन शरीफ़ और दीनी किताबों की तरफ़ भी पांव फैलाना मकरूह है, हाँ अगर किताबें ऊँचे पर हों कि पाँव का सामना उन की तरफ़ न हो तो हरज नहीं या बहुत दूर हों कि आमतौर पर किताब की तरफ़ पाँव फैलाना न कहा जाये तो भी माफ़ है। (दुर्रेमुख़्तार जि. 1 स. 441)

मसअला :– नाबालिग़ का पाँव क़िब्ला रुख़ कर के लिटा दिया यह भी मकरूह है और कराहत इस लिटाने वाले पर आइद होगी। (रद्दुल मुहतार जि. 1 स. 441)

मसअला :– मस्जिद का दरवाज़ा बन्द करना मकरूह है अलबत्ता अगर मस्जिद का सामान जाते रहने का ख़ौफ़ हो तो नमाज़ के वक़्तों के अलावा बन्द करने की इजाज़त है।(आलमगीरी जि. 1 स. 102)

मसअला :– मस्जिद की छत पर वती (सम्भोग) व बौल व बराज़ (पेशाब व पाख़ाना)हराम है।यूँही जुनुब व हैज़ व निफ़ास वाली को उस पर जाना हराम है कि वह भी मस्जिद के हुक्म में है। मस्जिद की छत पर बिला ज़रूरत चढ़ना मकरूह है। (रद्दुलमुहतार,दुर्रेमुख़्तार जि. 1 स. 441)

मसअला :– मस्जिद को रास्ता बनाना यानी उसमें से होकर गुज़रना नाजाइज़ है अगर इसकी आदत करे तो फ़ासिक़ है, अगर कोई इस नियत से मस्जिद में गया बीच ही में पहुँचा था कि शार्मिन्दा हुआ तो जिस दरवाज़े से उसको निकलना था उसके सिवा दूसरे दरवाज़े से निकले या वहीं नमाज़ पढ़े फिर निकले और वुज़ू न हो तो जिस तरफ़ से आया है वापस जाये।(रद्दुलमुहतार जि.1स.441)

मसअला :– मस्जिद में नजासत (नापाकी) लेकर जाना अगर्चे उससे मस्जिद आलूदा न हो या जिस के बदन पर नजासत लगी हो उसको मस्जिद में जाना मना है। (रद्दुलमुहतार जि. 1 स. 441)

मसअला :– नापाक रोग़न (तेल)मस्जिद में जलाना या नजिस गारा मस्जिद में लगाना मना है (दुर्रेमुख़्तार जि. 1 स. 441)

मसअला :– मस्जिद में किसी बर्तन के अंदर पेशाब करना या फ़स्द का ख़ून लेना (यानी रग का ख़ून निकलवाना) भी जाइज़ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार जि. 1 स. 441)

मसअला :– बच्चे और पागल को जिनसे नजासत का गुमान हो मस्जिद में लेजाना हराम है वर्ना मकरूह। जो लोग जूतियाँ मस्जिद के अंदर ले जाते हैं उनको इसका ख़्याल करना चाहिए कि अगर नजासत लगी हो तो साफ़ कर लें और जूता पहने मस्जिद में चले जाना अदब के ख़िलाफ़ है। (रद्दुलमुहतार जि. 1 स. 442)

मसअला :– ईदगाह या वह मकाम कि जनाज़ा की नमाज़ पढ़ने के लिए बनाया हो इक़्तिदा के

मसाइल में मस्जिद के हुक्म में है कि अगर्चे इमाम व मुक़्तदी के दरमियान कितनी ही सफ़ों की जगह फ़ासिल हो इक़्तिदा सही है और बाक़ी अहकाम मस्जिद के उस पर नहीं, इसका यह मतलब नहीं कि उसमें पेशाब पाख़ाना जाइज़ है बल्कि यह मतलब कि जुनुब और हैज़ व निफ़ास वाली को उसमें आना जाइज़। फ़नाए मस्जिद (फ़नाए मस्जिद उस जगह को कहते हैं कि मस्जिद में ही कुछ जगह वुज़ू वग़ैरा करने के लिए बना ली जाती है जिसे ख़ारिजे मस्जिद कहते हैं)और मदरसा व ख़ानक़ाह, सराए और तालाबों पर जो चबूतरा वग़ैरा नमाज़ पढ़ने के लिए बना लिया करते हैं उन सब के भी यही अहकाम हैं जो ईदगाह के लिए हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– मस्जिद की दीवार में नक़्श व निगार और सोने का पानी फेरना मना नहीं जब कि मस्जिद की ताज़ीम की नियत से हो मगर दीवारे क़िब्ला पर नक़्श व निगार मकरूह है। यह हुक्म उस वक़्त है कि कोई शख़्स अपने माले हलाल से नक़्श करे और माले वक़्फ़ से नक़्श व निगार हराम है अगर मुतवल्ली ने कराया या सफ़ेदी की तो तावान (जुर्माना)दे। हाँ अगर वाक़िफ़ (वक़्फ़ करने वाले)ने यह फ़ेल ख़ुद भी किया या उसने मुतवल्ली को इख़्तियार दिया हो तो माले वक़्फ़ से यह ख़र्च दिया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार जि. 1 स. 442)

मसअला :– मस्जिद की दीवारों और मेहराबों पर क़ुर्आन लिखना अच्छा नहीं कि अन्देशा है वहाँ से गिरे और पाँव के नीचे पड़े। इसी तरह मकान की दीवार पर भी नहीं चाहिए। यूँही जिस बिछौने या मुसल्ले पर असमाए इलाही (अल्लाह तआला के नाम)लिखे हों उसका बिछाना या किसी और इस्तेअ़माल में लाना जाइज़ नहीं और यह भी मना है कि अपनी मिल्क (क़ब्ज़ा)में से उसे जुदा करदे कि दूसरे के इस्तेअ़माल न करने का क्या इतमीनान। लिहाज़ा वाजिब है कि उसको सब से ऊपर किसी ऐसी जगह रखें कि उससे ऊपर कोई चीज़ न हो (आलमगीरी जि. 1 स. 103) यूँहीं बाज़ दस्तरख़्वानों पर अशआर लिखते हैं उनका बिछाना और उन पर खाना मना है।

मसअला :– मस्जिद में वुज़ू करना और कुल्ली करना और मस्जिद की दीवारों या चटाईयों पर या चटाईयों के नीचे थूकना और नाक सिनकना मना है और चटाईयों के नीचे डालना ऊपर डालने से ज़्यादा बुरा है और अगर नाक सिनकने या थूकने की ज़रूरत ही पड़ जाए तो कपड़े में ले ले।(आलमगीरी जि.1स. 103)

मसअला :– मस्जिद में कोई जगह वुज़ू के लिए शुरू ही से बानि–ए–मस्जिद (मस्जिद बनवाने वाले) ने मस्जिद पूरी होने से पहले बनाई है जिसमें नमाज़ नहीं होती तो वहाँ वुज़ू कर सकता है। यूँही तश्त वग़ैरा किसी बर्तन में भी वुज़ू कर सकता है मगर इन्तिहाई एहतियात के साथ कि कोई छींट मस्जिद में न पड़े (आलमगीरी जि. 1 स. 103)बल्कि मस्जिद को हर घिन की चीज़ से बचाना ज़रूरी है। आजकल अक्सर देखा जाता है कि वुज़ू के बाद मुँह और हाथ से पानी पोंछकर मस्जिद में झाड़ते हैं यह नाजाइज़ है। (फ़तावा रज़विया जि. 1 स. 733)

मसअला :– कीचड़ से पाँव सना हुआ है उसको मस्जिद की दीवार या सुतून से पोंछना मना है। यूँही फ़ैले हुए गुबार से पोंछना भी नाजाइज़ है और कूड़ा जमा है तो उससे पोंछ सकते हैं। यूँही मस्जिद में कोई लकड़ी पड़ी हुई है कि मस्जिद की इमारत में दाख़िल नहीं उससे भी पोंछ सकते हैं। चटाई के बेकार टुकड़े से जिस पर नमाज़ न पढ़ते हों पोंछ सकते हैं मगर बचना अफ़ज़ल।

मसअला :– मस्जिद का कूड़ा झाड़ कर किसी ऐसी जगह न डालें जहाँ बे अदबी हो। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मस्जिद में कुआँ नहीं खोदा जा सकता और अगर मस्जिद बनने से पहले यह कुआँ था और अब मस्जिद में आ गया तो बाकी रखा जायेगा। (आलमगीरी जि 1 स 103)

मसअला :– मस्जिद में पेड लगाने की इजाजत नहीं, हाँ मस्जिद को उसकी हाजत है कि ज़मीन में तरी है सुतून काइम नहीं रहते तो उस तरी को जज़्ब करने के लिए पेड लगा सकते हैं।(आलमगीरी जि 1 स 103)

मसअला :– मस्जिद तैयार होने से पहले मस्जिद के सामान रखने के लिए मस्जिद में हुजरा वगैरा बना सकते हैं। (आलमगीरी जि 1 स 103)

मसअला :– मस्जिद में सवाल करना हराम है और उस साइल (माँगने वाले)को देना भी मना है मस्जिद मे गुमशुदा चीज़ तलाश करना मना है। हदीस में है जब देखो कि कोई गुमी हुई चीज मस्जिद में तलाश करता है तो कहो खुदा उसको तेरे पास वापस न करे कि मस्जिदें इस लिए नहीं बनी। इस हदीस को मुस्लिम ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया।(दुर्रे मुख़्तार जि 1 स 443)

मसअला :– मस्जिद में शेर पढ़ना नाजाइज़ है अलबत्ता अगर शेर हम्द व नात व मनकबत व वाज़ व हिकमत का हो तो जाइज़ है। (दुर्रे मुख़्तार जि 1 स 443)

मसअला :– मस्जिद में खाना,पीना,सोना मोअ्तकिफ़(जो एअ्तिकाफ में हो) और परदेसी के सिवा किसी को जाइज़ नहीं। लिहाज़ा जब खाने पीने वगैरा का इरादा हो तो एअ्तिकाफ की नियत कर के मस्जिद में जाये कुछ देर ज़िक्र व नमाज़ के बाद अब खा पी सकता है और बाज ने सिर्फ मोअ्तकिफ़ का इस्तिसना किया यानी सिर्फ़ एअ्तिकाफ वाले के लिए कहा है और यही राजेह (सही) है लिहाज़ा गरीबुलवतन यानी मुसाफ़िर भी एअ्तिकाफ की नियत करे कि खिलाफ से बचे।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– मस्जिद में कच्चा लहसन,प्याज़ खाना या खाकर जाना जाइज़ नहीं जब तक कि बू बाकी हो कि फ़रिश्तों को इससे तकलीफ़ होती है। हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो इस बदबूदार दरख़्त से खाये वह हमारी मस्जिद के करीब न आये कि मलाइका को उस चीज़ से ईजा (तकलीफ़) होती है जिस से आदमी को होती है। इस हदीस को बुख़ारी व मुस्लिम ने जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया यही हुक्म हर उस चीज का है जिसमें बदबू हो गंधना,मूली, कच्चा गोश्त ,मिट्टी का तेल व दियासलाई जिसके रगडने में बदबू उड़ती है,रियाह खारिज करना वगैरा–वगैरा। जिसके मुहँ से बदबू आती हो या लार टपकती हो या कोई बदबूदार ज़ख़्म हो या कोई दवा बदबूदार लगाई हो तो जब तक बदबू ख़त्म न हो उस को मस्जिद में आने की मुमानअ्त (मनाही)है। यूँही कस्साब और मछली बेचने वाले और कोढी और सफ़ेद दाग़ वाले और उस शख़्स से जो लोगों को ज़बान से ईज़ा देता हो मस्जिद से रोका जायेगा

मसअला :– ख़रीद व फ़रोख़्त वगैरा हर अक़्दे मुबादलत यानी किसी माल को किसी माल के बदले बेचना मस्जिद में मना है सिर्फ़ मोअ्तकिफ़ को इजाज़त है जब कि तिजारात के लिए खरीदता बेचता नहो बल्कि अपनी और बाल बच्चों की ज़रूरत से हो और वह शय मस्जिद में नलाई गई हो।

मसअला :– मुबाह बातें भी मस्जिद में करने की इजाज़त नहीं न आवाज़ बलन्द करना जाइज़ (दुर्रेमुख़्तार जि. 1 स. 44 सगीरी)अफ़सोस है कि इस ज़माने में मस्जिदों को लोगों ने चौपाल बना रखा है यहाँ तक कि बाज़ों को मस्जिदों में गालियाँ बकते देखा जाता है। खुदा की पनाह!

मसअला :– दर्ज़ी को इजाज़त नहीं कि उजरत पर बैठकर मस्जिद में कपड़े सिये,हाँ अगर बच्चों

को रोकने और मस्जिद की हिफ़ाज़त के लिए बैठा तो हरज नहीं। यूँही कातिब को मस्जिद में बैठ कर लिखने की इजाज़त नहीं जबकि उजरत पर लिखता हो और बग़ैर उजरत लिखता हो तो इजाज़त है जबकि किताब कोई बुरी न हो। यूँही मुअ़ल्लिमे अजीर यानी पैसा लेकर पढ़ाने वाले को मस्जिद में बैठकर तालीम की इजाज़त नहीं और अजीर न हो तो इजाज़त है। (आलमगीरी जि 1 स 103)

मसअ्ला :– मस्जिद का चिराग़ घर नहीं ले जा सकता और तिहाई रात तक चिराग़ जला सकते हैं अगर्चे जमाअ़त हो चुकी हो इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं हाँ अगर वाक़िफ़ (वक्फ़ करने वाले)ने शर्त कर दी हो या वहाँ तिहाई रात से ज़्यादा जलाने की आदत हो तो जला सकते हैं अगर्चे पूरी रात की हो। (आलमगीरी जि 1 स 103)

मसअ्ला :– मस्जिद के चिराग़ से दीनी किताबें पढना और पढाना तिहाई रात तक तो मुतलकन कर सकता है अगर्चे जमाअ़त हो चुकी हो और इसके बाद इजाजत नहीं मगर जहाँ इसके बाद तक जलाने की आदत हों तो हरज नहीं। (अलामगीरी जि 1 स 103)

मसअ्ला :– चमगादढ़ और कबूतर वग़ैरा के घोंसले मस्जिद की सफ़ाई के लिए नोचने में हरज नहीं (दुर्रेमुख़्तार जि. 1 स 445)

मसअ्ला :– जिसने मस्जिद बनवाई तो मरम्मत और लोटे, चटाई, चिराग, बत्ती वग़ैरा का हक उसी को है और अज़ान व इक़ामत व इमामत का अहल है तो इसका भी वही मुस्तहिक (हकदार)है वर्ना उसकी राय से हो यूँही उसके बाद उसकी औलाद और कुम्बे वाले गैरों से औला (बेहतर)हैं।

मसअ्ला :– बानि–ए–मस्जिद ने एक को इमाम व मुअज्ज़िन किया और अहले महल्ला ने दूसरे को तो अगर यह अफ़ज़ल है जिसे अहले महल्ला ने पसन्द किया है तो वही बेहतर है और अगर बराबर हों तो जिसे बानी ने पसन्द किया वह होगा। (ग़ुनिया 571)

मसअ्ला :– सब मस्जिदों से अफ़ज़ल मस्जिदे हराम शरीफ़ है फिर मस्जिदे नबवी शरीफ़ फिर मस्जिदे क़ुदुस बैतुल मुक़द्दस (जिसे मस्जिदे अक़्सा भी कहते हैं)फिर मस्जिदे क़ुबा फिर और जामेअ् मस्जिदें फिर मस्जिदे मुहल्ला फिर मस्जिदे शारेअ् यानी आम मस्जिदें। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– मस्जिदे मुहल्ला में नमाज़ पढ़ना अगर्चे जमाअ़त क़लील हो मस्जिदे आमेअ् से अफ़ज़ल है अगर्चे वहाँ बड़ी जमाअ़त हो बल्कि अगर मस्जिदे मुहल्ला में जमाअ़त न हुई हो तो तन्हा जाये और अज़ान व इक़ामत कहे नमाज़ पढ़े वह मस्जिदे जामेअ् की जमाअ़त से अफ़ज़ल है।(सग़ीरी स 302वग़ैरा)

मसअ्ला :– जब चन्द मस्जिदें बराबर हों तो वह मस्जिद इख़्तियार करे जिसका इमाम ज़्यादा इल्म वाला व नेक हो। (सग़ीरी स. 302)और अगर इसमें बराबर हों तो जो ज़्यादा क़दीम हो और बाज़ों ने कहा जो ज़्यादा क़रीब हो और ज़्यादा राजेह (सही)यही मालूम होता है।

मसअ्ला :– मस्जिदे मुहल्ला में जमाअत न मिली तो दूसरी मस्जिद में बा–जमाअ़त पढ़ना अफ़ज़ल है और जो दूसरी मस्जिद में भी जमाअ़त न मिले तो मुहल्ले ही की मस्जिद में औला (बेहतर) है और अगर मस्जिदे मुहल्ला में तकबीरे ऊला या एक दो रकअ़त फौत हो गई और दूसरी जगह मिल जायेगी तो इसके लिए दूसरी मस्जिद में न जाये यूँही अगर अज़ान कही और जमाअ़त में से कोई नहीं तो मुअज़्ज़िन तन्हा पढ़ ले दूसरी मस्जिद में न जाये। (सग़ीरी स 302)

मसअ्ला :– जो अदब मस्जिद का है वही मस्जिद की छत का है। (ग़ुनिया)

मसअला :– मस्जिदे मुहल्ला का इमाम अगर मआज़ल्लाह ज़ानी या सूद ख़ोर हो या उसमें और कोई ऐसी ख़राबी हो जिसकी वजह से उसके पीछे नमाज़ मना हो तो मस्जिद छोड़कर दूसरी मस्जिद को जाये (गुनिया स. 569) और अगर उस से हो सकता हो तो मअ्ज़ूल कर दे। उसे निकाल दे।

मसअला :– अज़ान के बअ्द मस्जिद से निकलने की इजाज़त नहीं हदीस में फ़रमाया कि अज़ान के बाद मस्जिद से नहीं निकलता मगर मुनाफ़िक़,लेकिन वह शख़्स कि किसी काम के लिए गया और वापसी का इरादा रखता है यानी जमाअत खड़ी होने से पहले। यूँहीं जो शख़्स दूसरी मस्जिद की जमाअत का मुन्तज़िम हो तो उसे चला जाना चाहिए। (आम्मए कुतुब)

मसअला :– अगर उस वक़्त की नमाज़ पढ़ चुका है तो अज़ान के बाद मस्जिद से जा सकता है मगर ज़ोहर व इशा में इक़ामत हो गई तो न जाये नफ़्ल की नियत से शरीक हो जाने का हुक्म है। (आम्मए कुतुब) और बाक़ी तीन नमाज़ों में अगर तकबीर हुई और यह तन्हा पढ़ चुका है तो बाहर निकल जाना वाजिब

قَدْ تَمَّ هٰذَا الْجُزْءُ بِحَمْدِ اللّٰهِ سُبْحَانَهٗ وَ تَعَالٰی وَ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی حَبِیْبِهٖ وَ اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ ابْنِهٖ وَ حِزْبِهٖ اَجْمَعِیْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ.

हिन्दी तर्जमा

मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

हिजरी 1431, मोबाइल न. 9219132423

बहारे शरीअ़त

चौथा हिस़्सा

मुस़न्निफ़
सदरूश्शरीआ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा
मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर
क़ादरी दारूल इशाअ़त
मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली–53
Mob:–9312106346

नाम किताब	बहारे शरीअ़त (चौथा हिस़्सा)
मुसन्निफ़	स़दरुश्शरीअ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमह
हिन्दी तर्जमा	मौलाना मुह़म्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी
कम्प्यूटर कम्पोज़िंग	मौलाना मुह़म्मद शफ़ीकुल ह़क रज़वी
क़ीमत जिल्द अव्वल	500/
ता़दाद	1000
इशाअ़त	2010 ई.

मिलने के पते

1 मकतबा नईमिया ,मटिया महल, दिल्ली।
2 फ़ारूक़िया बुक डिपो ,मटिया मह़ल ,दिल्ली।
3 नाज़ बुक डिपो ,मोहम्मद अ़ली रोड़ मुम्बई
4 अलकुरआन कम्पनी ,कमानी गेट,अजमेर।
5 चिश्तिया बुक डिपो दरगाह शरीफ़ अजमेर।
6 क़ादरी दारुल इशाअ़त,मुस्तफ़ा मस्जिद वैलकम दिल्ली–53 मो0:–09312106346
7 मकतबा रह़मानिया रज़विया दरगाह आ़ला ह़ज़रत बरेली शरीफ़

फ़ेहरिस्त

بسم الله الرّحمٰنِ الرّحيم
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْم

वित्र का बयान

हदीस न.1 :– सही मुस्लिम शरीफ़ में है अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा कहते हैं रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के यहाँ मैं सोया था। हुज़ूर बेदार हुए मिस्वाक की और वुज़ू किया और इसी हालत में आयत إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ख़त्म सूरत तक पढ़ी फिर खड़े होकर दो रकअ़तें पढ़ीं जिनमें क़ियाम, रूकू व सुजूद को तवील (लम्बा) किया। फिर पढ़कर आराम फ़रमाया यहाँ तक कि साँस की आवाज़ आई, यूँही तीन बार में छः रकअ़तें पढ़ीं हर बार मिस्वाक व वुज़ू करते और उन आयतों की तिलावत फ़रमाते फिर वित्र की तीन रकअ़तें पढ़ीं।

हदीस न.2 :– नीज़ उसी में अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी है कि फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम रात की नमाज़ों के आख़िर में वित्र पढ़ो और फ़रमाते हैं सुबह से पेशतर (पहले)वित्र पढ़ो।

हदीस न.3 :– मुस्लिम व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा वग़ैरहुम जाबिर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जिसे अन्देशा हो कि पिछली रात में न उठेगा वह अव्वल वक़्त में पढ़ ले और जिसे उम्मीद है कि पिछले को उठेगा वह पिछली रात में पढ़े कि आख़िर शब की नमाज़ मशहूद है (यानी उसमें मलाइकए रहमत हाज़िर होते हैं) और यह अफ़ज़ल है।

हदीस न.4,6 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व निसाई व इब्ने माजा मौला अ़ली रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह वित्र (बेजोड़) है वित्र को महबूब रखता है। लिहाज़ा ऐ क़ुर्आन वालो! वित्र पढ़ो और उसी के मिस्ल जाबिर व अबू हुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी।

हदीस न.11 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ख़ारिज इब्ने हुज़ाफ़ा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम अल्लाह तआ़ला ने एक नमाज़ से तुम्हारी मदद फ़रमाई कि वह सुर्ख़ ऊँटों से बेहतर है। अल्लाह तआ़ला ने उसे इ़शा व तुलूए फ़ज्र के दरमियान में रखा है। यह हदीस दीगर सहाबा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम से भी मरवी है मसलन मआ़ज़ इब्ने जबल व अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर व इब्ने अ़ब्बास व उक़बा इब्ने आमिर जुहनी रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम।

हदीस न.12 :– तिर्मिज़ी ज़ैद इब्ने असलम से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो वित्र से सो जाये वह सुबह को पढ़ ले।

हदीस न.13,16 :– इमाम अहमद उबई इब्ने कअ़ब से और दारमी इब्ने अ़ब्बास से और अबू दाऊद व तिर्मिज़ी उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा से और नसई अ़ब्दुर्रहमान इब्ने अबज़े रदि़यल्लाहु अ़न्हुम से कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम वित्र कि पहली रकअ़त में سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى और दूसरी में قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ और तीसरी में قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ पढ़ते।

हदीस न.17 :– अहमद व अबू दाऊद व हाकिम बुरीदा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया वित्र हक़ है जो वित्र न पढ़े वह हम में से नहीं"।

हदीस न.18 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया जो वित्र से सो जाये या भूल जाये तो जब बेदार हो या याद आये पढ़ ले

हदीस न.19, 20 :– अहमद व नसई व दारे कुतनी बरिवायते अब्दुर्रहमान इब्ने अबज़े अन अबीहि और अबू दाऊद व नसई उबई इब्ने कअ्ब रदियल्लाहु तआला अन्हुम से "रावी कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम जब वित्र में सलाम फेरते तीन बार "सुब्हानल मलिकिल क़ुद्दूस" कहते और तीसरी बार बलन्द आवाज़ से कहते।

मसाइले फ़िक़्हिय्या

वित्र वाजिब है अगर सहवन (भूलकर) या क़स्दन (ज़ानबूझ कर) न पढ़ा तो क़ज़ा वाजिब है और साहिबे तरतीब (जिस के ज़िम्मे क़ज़ा नहीं अगर हों तो छः से कम हों)के लिए अगर यह याद है कि नमाज़े वित्र न पढ़ी है और वक़्त में गुन्जाइश भी है तो फ़र्ज़ की नमाज़ फ़ासिद है ख़्वाह शुरू से पहले याद हो या दरमियान में याद आ जाये। (दुर्रेमुख़्तार व रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– वित्र की नमाज़ बैठ कर या सवारी पर बग़ैर उज़्र नहीं हो सकती। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– नमाज़े वित्र तीन रकअ्त हैं और इसमें क़ादए ऊला वाजिब है और क़अ्दए ऊला में सिर्फ़ अत्तहीय्यात पढ़कर खड़ा हो जाये न दुरूद पढ़े न सलाम फेरे जैसे मग़रिब में करते हैं उसी तरह करे और अगर क़अ्दए ऊला में भूलकर खड़ा हो गया तो लौटने की इजाज़त नहीं बल्कि सजदए सहव करे (दुर्रेमुख़्तार व रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– वित्र की तीन रकअ्तों में मुतलक़न किरात फ़र्ज़ है और हर एक में बादे फ़ातिहा सूरत वाजिब और बेहतर यह है कि पहली में سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى या اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ दूसरी में قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ तीसरी में قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ पढ़े और कभी–कभी और सूरतें भी पढ़ ले। तीसरी रकअ्त में क़िरात से फ़ारिग़ होकर रुकू से पहले कानों तक हाथ उठा कर अल्लाहु अकबर कहे जैसे तकबीरे तहरीमा में कहते हैं फिर हाथ बाँध ले और दुआए क़ुनूत पढ़े। दुआए क़ुनूत का पढ़ना वाजिब है और उसमें किसी ख़ास दुआ का पढ़ना ज़रूरी नहीं बेहतर वह दुआयें हैं जो नबी सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम से साबित हैं और उनके अ़लावा कोई और दुआ पढ़े जब भी हरज नहीं। सब में ज़्यादा मशहूर दुआ यह है।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَ نَسْتَغْفِرُكَ وَ نُؤْمِنُ بِكَ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَ نُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهٗ وَ نَشْكُرُكَ

وَ لَا نَكْفُرُكَ وَ نَخْلَعُ وَ نَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَ نَسْجُدُ وَ اِلَيْكَ

نَسْعٰى وَ نَحْفِدُ وَ نَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَ نَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुक व नस्तग़ फ़िरू क ननुअमिनु बिका व नतनक्कलु अ़लै–क–व नुस्नी अ़लैकल ख़ैरा कुल्लुहू व नश्कुरूक वला नकफरू–क– व नख़लउ व नतरूकु मंय्यफ़जुरू–क अल्लाहुम्म इय्याका नअ़बुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलै–क नसआ व नहफ़िदु व नरजू रहमत–क व नख़्शा अज़ा ब– क इन्ना अज़ा बक बिल कुफ़्फ़ारि मुलहिक़"

तर्जमा :– " इलाही हम तुझसे मदद तलब करते हैं और मग़फ़िरत चाहते हैं और तुझ पर ईमानलाते है और तुझ पर तवक्कुल करते हैं और हर भलाई के साथ तेरी सना करते हैं और हम तेरा शुक्र करते हैं नाशुक्री नहीं करते और हम

जुदा होते है और उस शख़्स को छोड़ते है जो तेरा गुनाह करे ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते है और तेरे ही लिए नमाज पढ़ते है और सजदा करते है और तेरी ही तरफ दौड़ते और सई (चलने की कोशिश) करते है और तेरी रहमत का उम्मीदवार है और तेरेअज़ाब से डरतेहैं बेशक तेरा अज़ाब काफ़िरों को पहुँचनेवाला है"।

और बेहतर यह है कि इस दुआ के साथ वह दुआ भी पढ़े जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इमामे हसन रदियल्लाहु तआला अन्हु को तअ्लीम फ़रमाई वह यह है :–

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِیْ فِیْ مَنْ هَدَیْتَ وَ عَافِنِیْ فِیْ مَنْ عَافَیْتَ وَ تَوَلَّنِیْ فِیْ مَنْ تَوَلَّیْتَ وَ بَارِکْ لِیْ فِیْمَا اَعْطَیْتَ وَ قِنِیْ شَرَّ مَا قَضَیْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِیْ وَ لَا یُقْضٰی عَلَیْكَ اِنَّهٗ لَا یَذِلُّ مَنْ وَّالَیْتَ وَ لَا یَعِزُّ مَنْ عَادَیْتَ تَبَارَکْتَ وَ تَعَالَیْتَ سُبْحٰنَكَ رَبَّ الْبَیْتِ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِیِّ وَ اٰلِهٖ.

तर्जमा :– " इलाही तू मुझे हिदायत दे उन लोगों में जिनको तूने हिदयात दी और आफ़ियत दे उनके जुमरे में जिनमें तूने आफ़ियत दी और मेरा वली हो उन लोगों में जिनका तू वली हुआ और जो कुछ तूने दिया उसमें बरकत दे और जो कुछ तूने फ़ैसला कर दिया उसके शर से बचा। बेशक तू हुक्म करता है और तुझ पर हुक्म नहीं किया जाता। बेशक तेरा दोस्त ज़लील नहीं होता और तेरा दुश्मन इज़्ज़त नहीं पाता तू बरकत वाला है और तु बलन्द है तू पाक है ऐ बैत (कअ्बा शरीफ़) के मालिक और अल्लाह दुरूद भेजे नबी पर और उनकी आल पर"।

और एक दुआ वह है जो मौला अ़ली रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आख़िर वित्र में पढ़ते :–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِیْ ثَنَآءً عَلَیْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَیْتَ عَلٰى نَفْسِكَ.

तर्जमा :–"ऐ अल्लाह मैं तेरी खुशनूदी की पनाह माँगता हूँ तेरी नाखुशी से और तेरी आफ़ियत की तेरे अज़ाब सेऔर तेरी ही पनाह माँगता हूँ तुझ से (तेरे अज़ाब से) मैं तेरी पूरी सना नहीं कर सकता हूँ जैसी तूने अपनी की"।

और हज़रते उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ. के बाद यह पढ़ते थे

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ وَ لِلْمُؤْمِنِیْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَ اَلِّفْ بَیْنَ قُلُوْبِهِمْ وَ اَصْلِحْ ذَاتَ بَیْنِهِمْ وَ انْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوِّكَ وَ عَدُوِّهِمْ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ كَفَرَةَ اَهْلِ الْكِتٰبِ الَّذِیْنَ یُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَ یُقَاتِلُوْنَ اَوْلِیَآئَكَ اَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَیْنَ كَلِمَتِهِمْ وَ زَلْزِلْ اَقْدَامَهُمْ وَ اَنْزِلْ عَلَیْهِمْ بَاْسَكَ الَّذِیْ لَمْ یُرَدَّ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِیْنَ.

तर्जमा :– अहले किताब पर लअ्नत कर जो तेरे रसूलों की तकज़ीब करते हैं और तेरे दोस्तों से लड़ते हैं इलाही तू उनऐ अल्लाह! तू मुझे बख़्श दे और मोमिनीन व मोमिनात व मुस्लिनीन मुस्लिमात कोऔर उनके दिलों में उल्फ़त पैदा कर दे और उनके आपस की हालत दुरूस्त कर दे और उनको तू अपने दुश्मन और खुद उनके दुश्मन पर मदद कर दे ऐ अल्लाह ! तू कुफ़्फ़ारकी बात में मुख़ालफ़त डाल दे और उनके क़दमों को हटा दे और उन पर अपना वह अज़ाब नाज़िल कर जो क़ौमे मुजरिमीन से वापस नहीं होता।

दुआए कुनूत के बाद दुरूद शरीफ़ पढ़ना बेहतर है। (गुनिया व दुर्रेमुख़्तार वग़ैराहुमा)

मसअ्ला :– दुआए कुनूत आहिस्ता पढ़े इमाम हो या मुनफ़रिद या मुक़तदी,अदा हो या क़ज़ा रमज़ान में हो या और दिनों में। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :– जो दुआए कुनूत न पढ़ सके यह पढ़े :–

رَبَّنَا اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ۔

तर्जमा :– "ऐ हमारे परवरदिगार तू हमको दुनिया में भलाई दे और आख़िरत में भलाई दे और हम को जहन्नम के अज़ाब से बचा "। या तीन बार اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا (अल्लाहुम्मग़फ़िर लना)कहे।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर दुआए कुनूत पढ़ना भूल गया और रुकू में चला गया तो न क़ियाम की तरफ़ लौटे न रुकू में पढ़े और अगर क़ियाम की तरफ़ लौट आया और कुनूत पढ़ा और रुकू न किया तो नमाज़ फ़ासिद न होगी मगर गुनाहगार होगा और अगर सिर्फ़ अलहम्दु पढ़कर रुकूअ् में चला गया था तो लौटे और सूरत व कुनूत पढ़े फिर रुकू करे और आख़िर में सजदए सहव करे। यूहीं अगर अलहम्द भूल गया और सूरत पढ़ ली थी तो लौटे और फ़ातिहा व सूरत व कुनूत पढ़कर फिर रुकू करे।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– इमाम को रुकू में याद आया कि दुआए कुनूत नहीं पढ़ी तो क़ियाम की तरफ़ न लौटे फिर भी अगर खड़ा हो गया और दुआ पढ़ी तो रुकूअ् का इआदा न चाहिए यानी रुकू लौटाना नहीं चाहिए और अगर इआदा कर लिया और मुक़तदियों ने पहले रुकूअ् में इमाम का साथ न दिया और दूसरा इमाम के साथ किया या पहला रुकूअ् इमाम के साथ किया दूसरा न किया तो दोनों हाल में नमाज़ फ़ासिद न होगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– कुनूत व वित्र में मुक़तदी इमाम की मुताबअत(पैरवी) करे अगर मुक़तदी कुनूत से फ़ारिग़ न हुआ था कि इमाम रुकूअ् में चला गया तो मुक़तदी इमाम का साथ दे और अगर इमाम ने बे–कुनूत पढ़े रुकूअ् कर दिया और मुक़तदी ने अभी कुछ न पढ़ा था तो मुक़तदी को अगर रुकूअ् फ़ौत होने का अन्देशा हो जब तो रुकूअ् कर दे वर्ना कुनूत पढ़ कर रुकू में जाये और उस ख़ास दुआ की हाजत नहीं जो दुआए कुनूत के नाम से मशहूर है बल्कि मुतलक़न कोई दुआ जिसे कुनूत कह सकें पढ़ ले। (आलमगीरी व रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर शक हो कि यह रकअ्त पहली है या दूसरी या तीसरी तो उसमें भी कुनूत पढ़े और क़ादा करे फिर और दो रकअ्तें पढ़े और हर रकअ्त में कुनूत भी पढ़े क़अ्दा करे यूहीं दूसरी और तीसरी होने में शक हो,तो दोनों में कुनूत भी पढ़े। (दुर्रेमुख़्तार,आलमगीरी)

मसअ्ला :– मसबूक़ (जिसकी कुछ रकअ्तें छूट गई हों) इमाम के साथ कुनूत पढ़े बाद को न पढ़े और अगर इमाम के साथ तीसरी रकअ्त के रुकू में मिला है तो बाद को जो पढ़ेगा उसमें कुनूत न पढ़े। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– वित्र की नमाज़ शाफ़िई मज़हब के इमाम के पीछे पढ़ सकता है बशर्ते कि दूसरी रकअ्त के बाद सलाम न फेरे वर्ना सही नहीं और इस सूरत में कुनूत इमाम के साथ पढ़े यानी तीसरी रकअ्त के रुकू से खड़े होने के बाद जब वह शाफ़िई इमाम पढ़े। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– फ़ज्र में अगर शफ़िई मज़हब वाले की इक़्तिदा की और उसने अपने मज़हब के मुताबिक़ कुनूत पढ़ा तो यह न पढ़े, बल्कि हाथ लटकाये हुए उतनी देर चुप खड़ा रहे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– वित्र के सिवा और किसी नमाज़ में कुनुत न पढ़े हाँ अगर कोई बड़ा हादसा वाक़ेअ् हो

तो फज्र में भी पढ़ सकता है और ज़ाहिर यह है कि रुकू से पहले कुनूत पढ़े।(दुर्रेमुख़्तार व ग़ुनियतुल मुस्तमली)

मसअ्ला :– वित्र के सिवा और किसी नमाज़ में कुनूत न पढ़े।

मसअ्ला :– वित्र की नमाज़ क़ज़ा हो गई तो क़ज़ा पढ़ना वाजिब है अगर्चे कितना ही ज़माना हो गया हो क़स्दन (जानबूझ कर)क़ज़ा की हो या भूले से क़ज़ा हो गई हो और जब क़ज़ा पढ़े तो उसमें कुनूत भी पढ़े। अलबत्ता क़ज़ा में तकबीरे कुनूत के लिए हाथ न उठाये जबकि लोगों के सामने पढ़ता हो क्यूँकि लोगों को वित्र का छूटना मालूम होगा।(दुर्रेमुख़्तार,आलमगीरी)रमज़ान शरीफ़ के अलावा और दिनों में वित्र जमाअत से न पढ़े और तदाई के तौर पर हो तो मकरूह है(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जिसे आख़िरी शब में जागने पर एअ्तिमाद हो तो बेहतर यह है कि पिछली रात में वित्र पढ़े वर्ना बादे इशा पढ़ ले। (हदीस)

मसअ्ला :– अव्वल शब में वित्र पढ़कर सो रहा फिर पिछले को जागा तो दोबारा वित्र पढ़ना जाइज़ नहीं और नवाफ़िल जितने चाहे पढ़े। (ग़ुनिया)

मसअ्ला :– वित्र के बाद दो रकअ्त नफ़्ल पढ़ना बेहतर है उसकी पहली रकअ्त में إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ दूसरी में قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ पढ़ना बेहतर है। हदीस में है कि अगर रात में न उठा तो यह तहज्जुद के क़ाइम मक़ाम हो जायेगी। (यह सब मज़ामीन अहादीस से साबित है)

सुनन व नवाफ़िल का बयान

वली से अदावत अल्लाह तआ़ला से लड़ाई लेना है

हदीस न.1 :– सही बुख़ारी शरीफ़ में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करे उसे मैंने लड़ाई का ऐअ्लान दे दिया और मेरा बन्दा किसी शय से उस क़द्र तक़र्रुब(नज़दीकी) हासिल नहीं करता जितना फ़राइज़ से होता है और नवाफ़िल के ज़रिए से हमेशा क़ुर्ब (नज़दीकी)हासिल करता रहता है यहाँ तक कि उसे मैं महबूब बना लेता हूँ और अगर वह मुझ से सवाल करे तो उसे दूँगा और पनाह माँगे तो पनाह दूँगा। (आलमगीरी)

मुअक्कदा सुन्नतों का ज़िक्र

हदीस न.2 व 3 :– मुस्लिम व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हा से रावी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो मुसलमान बन्दा अल्लाह के लिए हर रोज़ फ़र्ज़ के अलावा ततव्वुअ् यानी नफ़्ल की बारह रकअ्तें पढ़े अल्लाह तआ़ला उसके लिए जन्नत में एक मकान बनायेगा, चार ज़ोहर से पहले और दो ज़ोहर के बाद और दो मग़रिब और दो बादे इशा और दो क़ब्ल नमाज़े फज्र और रकआत की तफ़सील सिर्फ़ तिर्मिज़ी में है। तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा की रिवायत उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हा से यह है कि जो इन पर मुहाफ़ज़त करेगा यानी हमेशा पढ़ेगा ,जन्नत में दाख़िल होगा।

हदीस न.5 :– मुस्लिम व तिर्मिज़ी उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हा से रावी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम फज्र की दो रकअ्तें दुनिया व माफ़ीहा यानी जो कुछ दुनिया में है उस से बेहतर है।

हदीस न.6 :– बुख़ारी व मुस्लिम व अबू दाऊद व नसई उन्हीं से रावी कहती हैं हुजूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम इनकी जितनी मुहाफ़ज़त फ़रमाते किसी और नफ़्ल नमाज़ की नहीं करते।

हदीस न. 7 :– त़बरानी अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि एक साहब ने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह ! कोई ऐसा अ़मल इरशाद फ़रमाईए कि अल्लाह तआ़ला मुझे उससे नफ़ा दे। फ़रमाया फ़ज्र की दोनों रकअ़तों को लाज़िम कर लो कि उन में बड़ी फ़ज़ीलत है।

हदीस न.8 :– अबू यअ़ला इन्हीं से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ तिहाई क़ुर्आन के बराबर है قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ सुन्नतों में पढ़ते और यह फ़रमाते कि इनमें ज़माने की,रग़बतें हैं।

हदीस न.9 :– अबू दाऊद अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की सुन्नतें न छोड़ो अगर्चे तुम पर दुश्मनों के घोड़े आ पड़ें।

ज़ुहर की सुन्नत के फ़ज़ाइल

हदीस न.10 :– अह़मद व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा उम्मुल मोमिनीन उम्मे ह़बीबा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जो शख़्स ज़ोहर से पहले चार और बाद में चार रकअ़तों पर मुहाफ़ज़त करे अल्लाह तआ़ला उस को आग पर ह़राम फ़रमा देगा। (तिर्मिज़ी ने इस ह़दीस को ह़सन सह़ीह़ ग़रीब कहा)

हदीस न.11 :– अबू दाऊद व इब्ने माजा अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ज़ोहर से पहले चार रकअ़तें जिनके दरमियान में सलाम न फ़ेरा जाये उनके लिए आसमान के दरवाज़े खोले जाते हैं।-

हदीस न.12 :– अह़मद व तिर्मिज़ी अ़ब्दुल्लाह इब्ने साइब रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी "हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम आफ़ताब ढलने के बाद नमाज़े ज़ोहर से पहले चार रकअ़तें पढ़ते और फ़रमाते यह ऐसी साअ़त है कि इसमें आसमान के दरवाज़े खोले जाते हैं। लिहाज़ा मैं मह़बूब रखता हूँ कि इसमें मेरा कोई अच्छा अ़मल बलन्द किया जाये'।

हदीस न.13 :– बज़्ज़ाज़ ने सौबान रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि दोपहर के बाद चार रकअ़त पढ़ने को हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मह़बूब रखते। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह! मैं देखती हूँ कि इस वक़्त में हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम नमाज़ मह़बूब रखते हैं। फ़रमाया इस वक़्त आसमान के दरवाज़े खोले जाते हैं और अल्लाह तआ़ला मख़लूक़ की त़रफ़ नज़रे रह़मत फ़रमाता है और इस नमाज़ पर आदम व नूह इब्राहीम व मूसा व ईसा अ़लैहिमुस्सलातु वस्सलाम मुहाफ़ज़त करते यानी हमेशा पढ़ते थे।

हदीस न.14 व15 :– त़बरानी बर्रा इब्ने आ़ज़िब रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जिसने ज़ोहर की नमाज़ के पहले चार रकअ़तें पढ़ीं गोया उसने तहज्जुद की चार रकअ़तें पढ़ीं और जिसने इ़शा के बाद चार पढ़ीं तो यह शबे क़द्र में चार के मिस्ल हैं"। हज़रते उ़मर फ़ारूके आज़म व बाज़ दीगर सहाबए किराम रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम से भी इसी के मिस्ल मरवी है।

अस्र की सुन्नत के फ़ज़ाइल

हदीस न.16 :– अहमद व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम "उस शख़्स पर रहम करे जिसने अ़स्र से पहले चार रकअ़तें पढ़ीं"।

हदीस न.17 :– तिर्मिज़ी मौला अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम अ़स्र से पहले चार रकअ़तें पढ़ा करते और अबू दाऊद की रिवायत में है कि दो पढ़ते थे।

हदीस न.18 व 19 :– तबरानी कबीर में उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो अ़स्र से पहले चार रकअ़तें पढ़े अल्लाह तआ़ला उसके बदन को आग पर हराम फ़रमा देगा। दूसरी रिवायत तबरानी की अ़म्र इब्ने आ़स रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने सहाबा के मजमे में जिस में अमीरुल मोमिनीन उ़मर इब्ने ख़त्ताब रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु भी थे फ़रमाया जो अ़स्र से पहले चार रकअ़तें पढ़ेगा उसे आग न छुएगी।

मग़रिब की सुन्नत के फ़ज़ाइल

हदीस न.20 व 21 :– रज़ीन ने मकहूल से रिवायत कि फ़रमाते हैं जो शख़्स बादे मग़रिब कलाम करने से पहले दो रकअ़तें पढ़े उसकी नमाज़ इल्लीय्यीन में उठाई जाती है और एक रिवायत में चार रकअ़त हैं। नीज़ उन्हीं की रिवायत हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है कि इसमें इतनी बात ज़्यादा है कि फ़रामते हैं मग़रिब के बाद की दो रकअ़तें जल्द पढ़ो कि वह फ़र्ज़ के साथ पेश होती हैं।

हदीस न.22 :– तिर्मिज़ी व इब्ने माजा अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं कि जो शख़्स मग़रिब के बाद छः रकअ़तें पढ़े और उनके दरमियान में कोई बुरी बात न कहे तो बारह बरस की इबादत के बराबर की जायेंगी।

हदीस न.23 :– तबरानी की रिवायत अम्मार इब्ने यासिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से है कि फ़रमाते हैं जो मग़रिब के बाद छः रकअ़तें पढ़े उसके गुनाह बख़्श दिये जायेंगे अगर्चे समुन्दर के झाग के बराबर हों।

हदीस न.24 :– तिर्मिज़ी की रिवायत उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से है जो मग़रिब के बाद बीस रकअ़तें पढ़े अल्लाह तआ़ला उसके लिए जन्नत में एक मकान बनायेगा।

इशा की सुन्नत व नफ़्ल के मसाइल

हदीस न. 25 :– अबू दाऊद की रिवायत उन्हीं से है फ़रमाती हैं इशा की नमाज़ पढ़ कर नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मेरे मकान में तशरीफ़ लाते तो चार या छः रकअ़तें पढ़ते।

मसाइले फ़िक़्हिय्या

सुन्नतें बाज़ मुअक्कद हैं कि शरीअ़त में उस पर ताकीद आई बिला उ़ज़्र एक बार भी तर्क करे तो मुस्तहक़्क़े मलामत है और तर्क की आ़दत करे तो फ़ासिक़, मरदूदुश्शहादत(जिसकी गवाही क़बूल न हो),मुस्तहक़्क़े नार (दोज़ख़ में जाने का हक़दार)है और बाज़ अइम्मा ने फ़रमाया कि वह गुमराह

ठहराया जायेगा। और वह गुनहागार है अगर्चे उसका गुनाह वाजिब के तर्क से कम है। तलवीह में है कि उसका तर्क क़रीब हराम के है उसका तारिक (छोड़ने वाला) मुस्तहक़ (हक़दार)है कि मआज़ल्लाह शफ़ाअत से महरूम हो जाये कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो मेरी सुन्नत को तर्क करेगा उसे मेरी शफ़ाअत न मिलेगी। सुन्नते मुअक्कदा को सुनने हुदा भी कहते हैं।

दूसरी क़िस्म ग़ैरे मुअक्कदा है जिसको सुनने ज़वाइद भी कहते हैं। इस पर शरीअत में ताकीद नहीं आई कभी इसको मुस्तहब और मन्दूब (बेहतर) भी कहते हैं।

नफ़्ल आम है कि सुन्नत पर भी इसका इतलाक़ आया है यानी सुन्नतों को भी नफ़्ल बोला जाता है और इसके ग़ैर को भी नफ़्ल कहते हैं। यही वजह है कि फ़ुक़्हाए किराम बाबे नवाफ़िल में सुनन का भी ज़िक्र करते हैं कि नफ़्ल इसको भी शामिल है। (रद्दुल मुहतार)लिहाज़ा नफ़्ल के जितने अहकाम हैं बयान होंगे वह सुन्नतों को भी शामिल होंगे। अबलत्ता अगर सुन्नतों के लिए कोई ख़ास बात होगी तो उस मुतलक़ हुक्म से इसको अलग किया जायेगा जहाँ इस्तिसना न हो यानी अलग न किया हो उसी मुतलक़ हुक्मे नफ़्ल में शामिल समझें।

मसअला :– सुन्नते मुअक्कदा यह है :– 1 दो रकअ़त नमाज़े फ़ज्र से पहले। 2.चार ज़ोहर से पहले 3. दो ज़ोहर के बाद 4. दो मग़रिब के बाद 5. दो इशा के बाद 6. और चार जुमे से पहले 7. चार जुमे के बाद यानी जुमे के दिन जुमा पढ़ने वाले पर चौदह रकअ़तें हैं और अलावा जुमे के बाक़ी दिनों में हर रोज़ बारह रकअ़तें। (आम्मए कुतुब)

मसअला :– अफ़ज़ल यह है कि जुमे के बाद चार पढ़े फिर दो कि दोनों हदीसों पर अ़मल हो जाये। (ग़ुनिया)

मसअला :– जो सुन्नतें चार रकअ़ती हैं मसलन जुमे व ज़ोहर की तो चारों एक सलाम से पढ़ी जायेंगी यानी चारों पढ़कर चौथी के बाद सलाम फेरे यह नहीं कि दो–दो रकअ़त पर सलाम फेरे और अगर किसी ने ऐसा किया तो सुन्नतें अदा न हुईं अगर चार रकअ़त की मन्नत मानी और दो–दो रकअ़त करके चार पढ़ीं तो मन्नत पूरी न हुई बल्कि ज़रूर है कि एक सलाम के साथ चारों पढ़े। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला – सब सुन्नतों में क़वी तर (तमाम सुन्नतों में सब से बढ़कर)सुन्नते फ़ज्र है यहाँ तक कि बाज़ इसको वाजिब कहते हैं और इसके जाइज़ होने का इन्कार करे तो अगर शुबह के तौर पर या जिहालत के तौर पर हो तो ख़ौफ़े कुफ़्र है और अगर दानिश्ता (जानते हुए)बिला शुबह हो तो उसकी तकफ़ीर की जायेगी। लिहाज़ा यह सुन्नतें बिला उ़ज़्र न बैठ कर हो सकती हैं, न सवारी पर,न चलती गाड़ी पर इनका हुक्म इन बातों में मिस्ले वित्र है। इनके बाद फिर मग़रिब की सुन्नतें, फिर ज़ोहर से पहले की चार सुन्नतें,और असह (ज़्यादा सही)यह है कि सुन्नते फ़ज्र के बाद ज़ोहर की पहली सुन्नतों का मर्तबा है कि हदीस में ख़ास इनके बारे में फ़रमाया कि जो इन्हें तर्क करेगा उसे मेरी शफ़ाअत न पहुँचेगी। (रद्दुलमुहतार वग़ैरा)

मसअला :– अगर कोई आलिम मरजए फ़तावा हो कि फ़तवा देने में उसे सुन्नत पढ़ने का मौक़ा नहीं मिलता (यानी फ़तवे के काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहता है) तो फ़ज्र के अलावा बाक़ी सुन्नतें तर्क कर सकता है कि उस वक़्त अगर मौक़ा नहीं है तो मौक़ूफ़ रखे अगर वक़्त के अन्दर मौक़ा

मिले पढ़ ले वर्ना माफ़ हैं और फ़ज्र की सुन्नतें इस हालत में भी तर्क नहीं कर सकता।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– फ़ज्र की नमाज़ क़ज़ा हो गई और ज़वाल से पहले पढ़ ली तो सुन्नतें भी पढ़े वर्ना नहीं अलावा फ़ज्र के और सुन्नतें क़ज़ा हो गईं तो उनकी क़ज़ा नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसअला :– दो रकअ़त नफ़्ल पढ़े और यह गुमान था कि फ़ज्र तुलू न हुई बाद को मालूम हुआ कि तुलू हो चुकी थी तो यह रकअ़तें फ़ज्र की सुन्नतों के क़ाइम मक़ाम हो जायेंगी और चार रकअ़त की नियत बाँधी और इनमें दो पिछली तुलूए फ़ज्र के बाद वाक़ेअ़ हुईं तो यह सब सुन्नतें फ़ज्र के क़ाइम मक़ाम न होंगी। (रद्दुलमुहतार)

मसअला :– तुलूए फ़ज्र से पहले फ़ज्र की सुन्नतें जाइज़ नहीं और तुलू में शक हो जब भी नाजाइज़ और तुलू के साथ शुरू की तो जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअला :– ज़ोहर या जुमे के पहले सुन्नत फ़ौत हो गईं और फ़र्ज़ पढ़ लिए तो अगर वक़्त बाक़ी है फ़र्ज़ के बाद पढ़े और अफ़ज़ल यह कि पिछली सुन्नतें पढ़कर इनको पढ़े। (फ़तहुल क़दीर)

मसअला :– फ़ज्र की सुन्नत क़ज़ा हो गईं और फ़र्ज़ पढ़ लिए तो अब सुन्नतों की क़ज़ा नहीं अलबत्ता इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैहि फ़रमाते हैं कि तुलूए आफ़ताब के बाद पढ़ ले तो बेहतर है। (गुनिया)और तुलू से पेश्तर बिल इत्तिफ़ाक़ ममनूअ़ है। (रद्दुलमुहतार)आजकल अक्सर अ़वाम फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद पढ़ लिया करते हैं यह नाजाइज़ है,पढ़ना हो तो आफ़ताब बलन्द होने के बाद और ज़वाल से पहले पढ़ें।

मसअला :– तुलूए आफ़ताब से पहले सुन्नते फ़ज्र क़ज़ा पढ़ने के लिए यह हीला करना कि शुरू कर के तोड़ दे फिर इआ़दा करे यह नाजाइज़ है। सुन्नते फ़ज्र पढ़ ली और फ़र्ज़ क़ज़ा हो गये तो क़ज़ा पढ़ने में सुन्नत को न लौटाये। (गुनिया)

मसअला :– फ़र्ज़ तन्हा पढ़े जब भी सुन्नतों का तर्क जाइज़ नहीं है। (आ़लमगीरी)सुन्नते फ़ज्र की पहली रकअ़त में सूरह फ़ातिहा के बाद सुरए काफ़िरून और दूसरी में قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ पढ़ना सुन्नत है। (गुनिया वग़ैरा)

मसअला :– जमाअ़त क़ाइम होने के बाद किसी नफ़्ल का शुरूअ़ करना जाइज़ नहीं सिवा सुन्नते फ़ज्र के कि अगर यह जाने कि सुन्नत पढ़ने के बाद जमाअ़त मिल जायेगी अगर्चे क़अ़दा ही में शामिल होगा तो सुन्नत पढ़ ले मगर सफ़ के बराबर पढ़ना जाइज़ नहीं बल्कि अपने घर पढ़े या बेरूने मस्जिद (यानी मस्जिद के बाहर)कोई जगह नमाज़ के क़ाबिल हो तो वहाँ पढ़े और यह मुमकिन न हो तो अगर अन्दर के हिस्से में जमाअ़त होती हो तो बाहर के हिस्से में पढ़े, बाहर के हिस्से में हो तो अन्दर और अगर उस मस्जिद में अन्दर बाहर दो दर्जे न हों तो सुतून या पेड़ की आड़ में पढ़े कि इसमें और सफ़ में हाइल हो जाये यानी आड़ हो जाये और सफ़ के पीछे पढ़ना भी मना है अगर्चे सफ़ में पढ़ना ज़्यादा बुरा है। आजकल अक्सर अवाम इसका बिल्कुल ख़्याल नहीं करते और उसी सफ़ में घुस कर शुरूअ़ कर देते हैं यह नाजाइज़ है और अभी जमाअ़त न हुई तो जहाँ चाहे सुन्नतें शुरूअ़ करे ख़्वाह कोई सुन्नत हो । (गुनिया) मगर जानता हो कि जमाअ़त जल्द क़ाइम होने वाली है और यह उस वक़्त तक सुन्नतों से फ़ारिग़ न होगा तो ऐसी जगह न पढ़े कि उसके सबब सफ़ क़ता (टूटती) हो।

मसअ्ला :– इमाम को रुकू में पाया और यह नहीं मालूम कि पहली रकअ्त है का रुकूअ् है या दूसरी का तो सुन्नतें तर्क करे और मिल जाये। (अलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर वक़्त में गुंजाइश हो और उस वक़्त नवाफ़िल मकरूह न हों तो जितने नवाफ़िल चाहे पढ़े और अगर नमाज़े फ़र्ज़ या जमाअ्त जाती रहेगी तो नवाफ़िल में मशग़ूल होना नाजाइज़ है

मसअ्ला :– सुन्नत व फ़र्ज़ के दरमियान में कलाम करने से असह (ज़्यादा सही) यह है कि सुन्नत बातिल नहीं होती अलबत्ता सवाब कम हो जाता है यही हुक्म हर उस काम का है जो मनाफ़ीए तहरीमा यानी तकबीरे तहरीमा के ख़िलाफ़ है। (तनवीर) अगर ख़रीद व फ़रोख़्त या खाने में मशग़ूल हुआ तो इआदा करे हाँ बाद वाली सुन्नत में अगर खाना लाया गया और बदमज़ा हो जाने का अंदेशा हो तो खाना खा ले फिर सुन्नत पढ़े मगर वक़्त जाने का अंदेशा हो तो पढ़ने के बाद खाये और बिला उज़्र बाद वाली सुन्नतों में भी देर करना मकरूह है। अगर्चे अदा हो जाएगी। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– इशा व अस्र के पहले और इशा के बाद चार–चार रकअ्तें एक सलाम से पढ़ना मुस्तहब है और यह भी इख़्तियार है कि इशा के बाद दो ही पढ़े मुस्तहब अदा हो जायेगा। यूँही ज़ोहर के बाद चार रकअ्त सुन्नत पढ़ना मुस्तहब है कि हदीस में फ़रमाया कि जिसने ज़ोहर से पहले चार और बाद में चार पर मुहाफ़ज़त की अल्लाह तआला उस पर आग हराम फ़रमा देगा। अल्लामा सय्यद तहतावी फ़रमातें हैं कि सिरे से आग में दाख़िल ही न होगा और उसके गुनाह मिटा दिए जायेंगे और जो इस पर मुतालबात हैं अल्लाह तआला उसके फ़रीक़ को राज़ी कर देगा या यह मतलब है कि उसे ऐसे कामों की तौफ़ीक़ देगा जिन पर सज़ा न हो और अल्लामा शामी फ़रमाते हैं कि उसके लिए बशारत है कि सआदत पर उसका ख़ातमा होगा और दोज़ख़ में न जायेगा।

मसअ्ला :– सुन्नत की मन्नत मानी और पढ़ी अदा हो गई तो यूँही अगर शुरूअ् कर के तोड़ दी फिर पढ़ी जब भी सुन्नत अदा हो गई। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– नफ़्ल नमाज़ मन्नत मान कर पढ़ना बग़ैर मन्नत के पढ़ने से बेहतर है जबकि मन्नत किसी शर्त के साथ न हो मसलन फ़लाँ बीमार सही हो जायेगा तो इतनी नमाज़ पढ़ूँगा और सुन्नतों में मन्नत न मानना अफ़ज़ल है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– बादे मग़रिब छः रकअ्तें मुस्तहब हैं उनको सलातुल अव्वाबीन कहते हैं ख़्वाह एक सलाम से सब पढ़े या दो से या तीन से और तीन सलाम से यानी हर दो रकअ्त पर सलाम फेरना अफ़ज़ल है। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– ज़ोहर व मग़रिब व इशा के बाद जो मुस्तहब है उसमें सुन्नते मुअक्कदा दाख़िल है मसलन ज़ोहर के बाद चार पढ़ीं तो मुअक्कदा व मुस्तहब दोनों अदा हो गये और यूँ भी हो सकता है कि मुअक्कदा व मुस्तहब दोनों को एक सलाम के साथ अदा करे यानी चार रकअ्त पर सलाम फेरे। (फ़तहुल क़दीर)

मसअ्ला :– इशा के क़ब्ल (पहले)की सुन्नतें जाती रहें तो उनकी क़ज़ा नहीं फिर भी अगर बाद में पढ़ेगा तो नफ़्ले मुस्तहब है वह सुन्नते मुस्तहब जो फ़ौत हुई अदा न हुई। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– दिन के नफ़्ल में एक सलाम के साथ चार रकअ्त से ज़्यादा और रात में आठ रकअ्त से ज़्यादा पढ़ना मकरूह है और अफ़ज़ल यह है कि दिन हो या रात हो चार–चार रकअ्त पर सलाम फेरे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– जो सुन्नते मुअक्कदा चार रकअ़ती हैं उसके कअ़्दए ऊला में सिर्फ़ 'अत्तहीय्यात' पढ़े अगर भूल कर दुरूद शरीफ़ पढ़ लिया तो सजदए सहव करे और इन सुन्नतों में जब तीसरी रकअ़त के लिए खड़ा हो तो 'सुब्हाना'और 'अऊ़ज़ु'भी न पढ़े और इनके अ़लावा और चार रकअ़त वाले नवाफ़िल के कअ़्दए ऊला में भी दुरूद शरीफ़ पढ़े और तीसरी रकअ़त में 'सुब्हाना' और अऊ़ज़ू'भी पढ़े बशर्ते कि दो रकअ़त के बाद कअ़्दा किया हो वर्ना पहला 'सुब्हाना' और अऊ़ज़ु काफ़ी है। मन्नत की नमाज़ के भी कअ़्दए ऊला में दुरूद पढ़े और तीसरी में सना (सुब्हाना) व तअ़व्वुज़(अऊ़ज़ु)। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– चार रकअ़त नफ़्ल पढ़े और कादए ऊला फ़ौत हो गया बल्कि क़स्दन(जानबूझ कर) भी तर्क कर दिया तो नमाज़ बातिल न हुई और भूल कर तीसरी रकअ़त के लिए खड़ा हो गया तो न लौटे और सजदए सहव करले नमाज़ पूरी हो जायेगी। अगर तीन रकअ़तें पढ़ीं और दूसरी पर न बैठा तो नमाज़ फ़ासिद हो गई। और अगर दो रकअ़त की नियत बाँधी थी और बग़ैर क़अ़्दा किये तीसरी के लिए ख़ड़ा हो गया तो लौटे वर्ना फ़ासिद हो जायेगी। (आलमगीरी)

मसअला :– नमाज़ में क़ियाम को लम्बा करना ज़्यादा रकअ़त पढ़ने से अफ़ज़ल है यानी जबकि किसी वक़्ते मुअय्यन तक नमाज़ पढ़ना चाहे मसलन दो रकअ़त में उतना वक़्त सर्फ़ कर देना चार रकअ़त पढ़ने से अफ़ज़ल है। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअला :– नफ़्ल नमाज़ घर में पढ़ना अफ़ज़ल है मगर 1.तरावीह, 2.तहिय्यतुल मस्जिद और 3–सफ़र से वापसी के बाद दो नफ़्ल कि इनको मस्जिद में पढ़ना बेहतर है। और 4. एहराम की दो रकअ़तें कि मीक़ात के नज़्दीक कोई मस्जिद हो तो उसमें पढ़ना बेहतर है,और 5. तवाफ़ की दो रकअ़तें कि मक़ामे इब्राहीम के पास पढ़ें और 6. मोअ़्तकिफ़ के नवाफ़िल 7. और सूरज गहन की नमाज़ कि मस्जिद में पढ़े 8. और अगर यह ख़याल हो कि घर जाकर कामों के मशग़ूली के सबब नवाफ़िल फ़ौत हो जायेंगे या घर में जी न लगेगा और ख़ुशूअ़ कम हो जायेगा तो मस्जिद ही में पढ़े।(रद्दुलमुहतार)

मसअला :– नफ़्ल की हर रकअ़त में इमाम व मुनफ़रिद पर क़िरात फ़र्ज़ है और अगर मुक़तदी हो अगर्चे फ़र्ज़ पढ़ने वाले के पीछे इक़्तिदा की हो तो इमाम की क़िरात उसके लिए भी काफ़ी है उस पर ख़ुद पढ़ना नहीं। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअला :– नफ़्ल नमाज़ क़स्दन शुरूअ़ करने से वाजिब हो जाती है कि अगर तोड़ देगा तो क़ज़ा पढ़ना होगी और अगर क़स्दन शुरूअ़ न की थी मसलन गुमान था कि फ़र्ज़ पढ़ना है और फ़र्ज़ की नियत से शुरूअ़ की फ़िर याद आया कि फ़र्ज़ पढ़ चुका है तो अब यह नफ़्ल है और तोड़ देने से क़ज़ा वाजिब नहीं बशर्ते कि याद आते ही तोड़ दे और याद आने पर इस नमाज़ को पढ़ना इख़्तियार किया तो तोड़ देने से क़ज़ा वाजिब होगी। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअला :– अगर बिला क़स्द नमाज़ फ़ासिद हो गई जब भी क़ज़ा वाजिब है मसलन तयम्मुम से पढ़ रहा था और नमाज़ के दरमियान में पानी पर क़ादिर हुआ,यूँही नफ़्ल पढ़ते में औरत को हैज़ आ गया तो क़ज़ा वाजिब हो गई तहारत के बाद क़ज़ा पढ़े। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअला :– शुरूअ़ करने की दो सूरतें हैं एक यह कि तहरीमा बाँधे दूसरी यह कि तीसरी रकअ़त के लिए खड़ा हो गया बशर्ते कि शुरूअ़ सही हो और अगर शुरूअ़ सही न हो मसलन उम्मी या औरत के पीछे इक़्तिदा की या बे–वुज़ू या नापाक कपड़ों में शुरू कर दी तो क़ज़ा वाजिब न होगी।(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– फ़र्ज़ पढ़ने वाले के पीछे नफ़्ल की नियत से शुरूअ् की फिर याद आया कि यह फ़र्ज़ मुझे पढ़ना है और तोड़ कर उसी फ़र्ज़ की नियत से इक़्तिदा की जो वह पढ़ रहा था या तोड़ कर दूसरे नफ़्ल की नियत करके शामिल हुआ तो इस नफ़्ल की क़ज़ा वाजिब नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :– तुलू व ग़ुरूब व निस्फ़ुन्नहार के वक़्त नमाज़े नफ़्ल शुरूअ् की तो वाजिब है कि तोड़ दे और मकरूह वक़्त के अ़लावा में क़ज़ा पढ़े और दूसरे वक़्ते मकरूह में क़ज़ा पढ़ी जब भी हो गई मगर गुनाह हुआ और पूरी कर ली तो हो गई मगर वक़्ते मकरूह में पढ़ने का गुनाह हुआ बिला वजहे शरई नफ़्ल शुरूअ् कर के तोड़ देना ह़राम है। (रद्दुलमुह़तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– नफ़्ल नमाज़ शुरूअ् की अगर्चे चार की नियत बाँधी जब भी दो ही रकअ्त शुरूअ् करने वाला क़रार दिया जायेगा कि नफ़्ल का हर शुफ़्आ(यानी हर दो रकअ्त) अलग–अलग नमाज़ है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– चार रकअ्त नफ़्ल की नियत बाँधी और शुफ़्अ़ए अव्वल(पहली दो रकअ्तों)या सानी (बाद की दो रकअ्तों)में तोड़ दी तो दो रकअ्त क़ज़ा वाजिब होगी मगर शुफ़्अ़ए सानी तोड़ने से दो रकअ्त क़ज़ा वाजिब होने की यह शर्त है कि दूसरी रकअ्त पर क़अ्दा कर चुका हो वर्ना चार क़ज़ा करनी होंगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :– सुन्नते मुअक्कदा और मन्नत की नमाज़ अगर चार रकअ्ती हो तो तोड़ने से चार की क़ज़ा करे यूँही अगर चार रकअ्ती फ़र्ज़ पढ़ने वाले के पीछे नफ़्ल की नियत बाँधी और तोड़ दी तो चार की क़ज़ा वाजिब है पहले शुफ़्अ् में तोड़ी या दूसरे में। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– चार रकअ्त की नियत बाँधी और 1.चारों में क़िरात न की या 2.पहली दो में या 3.पिछली दो में न की या 4. पहली दो में से एक रकअ्त में न की या 5.पिछली दो में से एक रकअ्त में न की या 6. पहली दोनों और पिछली में से एक में क़िरात छोड़ दी तो इन छः सूरतों में दो रकअ्त क़ज़ा वाजिब है। और अगर 1. पहली दो में से एक या पिछली दो में से एक 2.या पहली दो में से एक में और पिछली की दोनों में क़िरात छोड़ दी तो इन सूरतों में चार रकअ्त क़ज़ा वाजिब है। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– अगर दो रकअ्त पर बक़द्रे तशह्हुद बैठा फिर तोड़ दी तो इस सूरत में बिल्कुल क़ज़ा नहीं बशर्ते कि तीसरी के लिए खड़ा न हुआ हो और पहली दोनों में क़िरात कर चुका हो। (दुर्रेमुख़्तार)मगर बवजहे तर्के वाजिब उसके लौटाने का हुक्म दिया जायेगा।

मसअ्ला :– नफ़्ल पढ़ने वाले ने नफ़्ल पढ़ने वाले की इक़्तिदा की अगर्चे तशह्हुद (अत्तहीय्यात)में तो जो ह़ाल इमाम का है वही मुक़तदी का है यानी जितनी की क़ज़ा इमाम पर वाजिब होगी मुक़तदी पर भी वाजिब (दुर्रेमुख़्तार)

खड़े हो कर बैठकर लेटकर नफ़्ल पढ़ने के मसाइल

मसअ्ला :– खड़े होकर पढ़ने की क़ुदरत हो जब भी बैठ कर नफ़्ल पढ़ सकते हैं मगर खड़े हो कर पढ़ना अफ़ज़ल है कि ह़दीस में फ़रमाया बैठ कर पढ़ने वाले की नमाज़ खड़े होकर पढ़ने वाले की निस्फ़ है और उ़ज़्र की वजह से बैठ कर पढ़े तो सवाब में कमी न होगी। यह जो आजकल आम रिवाज़ पड़ गया है कि नफ़्ल बैठ कर पढ़ा करते हैं बज़ाहिर यह मालूम होता है कि शायद बैठ कर पढ़ने को अफ़ज़ल समझते हैं ऐसा है तो उनका ख़्याल ग़लत है। वित्र के बाद जो दो रकअ्त नफ़्ल

पढ़ते हैं उनका भी यही हुक्म है कि खड़े हो कर पढ़ना अफ़ज़ल है और उस में इस हदीस से दलील लाना कि हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वित्र के बाद बैठ कर नफ़्ल पढ़े,सही नहीं कि यह हुज़ूर के मख़्सूसात में से है। चुनाँचे सही मुस्लिम शरीफ़ की हदीस अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से है फ़रमाते हैं मुझे ख़बर पहुँची कि हुज़ूर अक्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बैठ कर पढ़ने वाले की नमाज़ खड़े हो कर पढ़ने वाले की नमाज़ से आधी है। उसके बाद मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बैठकर नमाज़ पढ़ते हुए पाया। सरे अक्दस पर मैंने हाथ रखा (कि बीमार तो नहीं) इरशाद फ़रमाया क्या है ऐ अब्दुल्लाह! अर्ज़ की या रसूलल्लाह ! हुज़ूर ने तो ऐसा फ़रमाया है और हुज़ूर बैठ कर नमाज़ पढ़ते हैं। हाँ लेकिन मैं तुम जैसा नहीं। इमाम इब्राहीम हलबी व साहिबे दुर्रे मुख़्तार व साहिबे रद्दुलमुहतार (रहमतुल्लाहि तआला अलैहिम)ने फ़रमाया कि यह हुक्म हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ख़साइस से है और इसी हदीस से इस्तिनाद किया यानी इसी हदीस से सनद लाये।

मसअला :– अगर रुकू की हद तक झुक कर नफ़्ल का तहरीमा यानी नमाज़ शुरू कर के हाथ बांधा तो नमाज़ न होगी। (रद्दुलमुहतार) लेट कर नफ़्ल नमाज़ जाइज़ नहीं जबकि उज़्र न हो और उज़्र की वजह से हो तो जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– नफ़्ल नमाज़ खड़े होकर शुरूअ् की थी फिर बैठ गया या बैठ कर शुरूअ् की थी फिर खड़ा हो गया दोनों सूरतें जाइज़ हैं ख़्वाह एक रकअ़त खड़े होकर पढ़ी एक बैठ कर या एक ही रकअ़त के एक हिस्से को खड़े होकर पढ़ा और कुछ हिस्सा बैठकर। (दुर्रेमुख़्तार ,रद्दुलमुहतार)मगर दूसरी सूरत यानी खड़े होकर शुरू की फिर बैठ गया इसमें इख़्तिलाफ़ है लिहाज़ा बचना बेहतर।

मसअला :– खड़े होकर नफ़्ल पढ़ता था और थक गया तो असा (लाठी)या दीवार पर टेक लगा कर पढ़ने में कोई हरज नहीं (आलमगीरी)और बग़ैर थके भी ऐसा करे तो कराहत है नमाज़ हो जायेगी।

मसअला :– नफ़्ल बैठ कर पढ़े तो इस तरह बैठे जैसे तशह्हुद (अत्तहीय्यात)में बैठा करते हैं मगर किरात की हालत में कि नाफ़ के नीचे हाथ बाँधे रहे जैसे कियाम में बाँधते हैं। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुलमुहतार)

मसअला :– बेरूने शहर यानी शहर के बाहर सवारी पर भी नफ़्ल पढ़ सकता है और इस सूरत में इस्तिक़बाले क़िब्ला शर्त नहीं बल्कि सवारी जिस रुख़ को जा रही हो उधर ही मुँह हो और अगर उधर मुँह न हो तो नमाज़ जाइज़ नहीं और शुरूअ् करते वक़्त भी क़िब्ले की तरफ़ मुँह होना शर्त नहीं बल्कि सवारी जिधर जा रही है उस तरफ़ हो और रुकूअ् व सुजूद इशारे से करे और सजदे के इशारे में रुकूअ् से ज़्यादा झुके। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– सवारी पर नफ़्ल पढ़ने में अगर हाँकने की ज़रूरत हो और अमले कलील(यानी बहुत थोड़ा सा अमल ऐसा कि जिससे करने पर नमाज़ ही में मालूम हो) से हाँका मसलन एक पाँव से एड़ लगाई या हाथ में चाबुक है उससे डराया तो हरज नहीं और बिला ज़रूरत जाइज़ नहीं (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– सवारी पर नमाज़ शुरूअ् की फिर अमले क़लील के साथ उतर आया तो उसी पर बिना कर सकता है ख़्वाह खड़े होकर पढ़े या बैठ कर मगर अब क़िब्ले को मुँह करना ज़रूरी है और ज़मीन पर शुरूअ् की थी फिर सवार हुआ तो बिना नहीं कर सकता नमाज़ जाती रही। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– गाँव या खेमे का रहने वाला जब गाँव या ख़ेमे से बाहर हुआ तो सवारी पर नफ़्ल पढ़ सकता है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– बैरूने शहर सवारी पर शुरूअ् की थी पढ़ते–पढ़ते शहर में दाख़िल हो गया तो जब तक घर न पहुँचा सवारी पर पूरी कर सकता है। (दुर्रे मुख़्तार)

नोट :– यहाँ बैरूने शहर से मुराद वह जगह है जहाँ से मुसाफ़िर पर क़स्र वाजिब होती है।

मसअ्ला :– महमिल यानी कजावा जो ऊँट वग़ैरा की सवारी करते वक़्त उसकी पीठ पर रखते हैं, और गाड़ी पर नफ़्ल नमाज़ मुतलक़न जाइज़ है जबकि तन्हा पढ़े और नफ़्ल नमाज़ जमाअ़त से पढ़ना चाहे तो उसके लिए शर्त यह है कि इमाम व मुक़तदी अलग–अलग सवारियों पर न हों। (दुर्रे मुख़्तार)

गाड़ी व सवारी पर फ़र्ज़ व वाजिब नमाज़ पढ़ने के मसाइल

मसअ्ला :– महमिल पर फ़र्ज़ नमाज़ उस वक़्त जाइज़ है कि उतरने पर क़ादिर न हो,अगर ठहरा हुआ हो और उसके नीचे लकड़ियाँ लगा दीं कि ज़मीन पर क़ाइम हो गया तो जाइज़ है।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– गाड़ी का जुवा (बैल वग़ैरा की गर्दन पर जो लकड़ी रखते हैं उसे जुवा कहते हैं) जानवर पर रखा हो गाड़ी खड़ी हो या चलती उसका हुक्म वही है जो जानवर पर नमाज़ पढ़ने का है यानी फ़र्ज़ व वाजिब व सुन्नते फ़ज्र बिला उ़ज्र जाइज़ नहीं और अगर जुवा जानवर पर न हो और रुकी हुई हो तो नमाज़ जाइज़ है। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)यह हुक्म उस गाड़ी का है जिसमें दो पहिये हों चार पहिये वाली जब रुकी हो तो सिर्फ़ जुवा जानवर पर होगा और गाड़ी ज़मीन पर ठहरी और खड़ी होगी।

फ़र्ज़ व वाजिब सवारी या गाड़ी पर पड़ने के उ़ज्र

मसअ्ला :– गाड़ी और सवारी पर नमाज़ पढ़ने के लिए यह उ़ज्र हैं 1.मेंह बरस रहा है इस 2.क़द्र कीचड़ कि उतर कर पढ़ेगा तो मुँह धँस जायेगा या कीचड़ में सन जायेगा या जो कपड़ा बिछायेगा वह बिल्कुल लिथड़ जायेगा और इस सूरत में सवारी न हो तो खड़े–खड़े इशारे से पढ़े। 3.साथी चले जायेंगे या 4. सवारी का जानवर शरीर है कि सवार होने में दुश्वारी होगी मददगार की ज़रूरत होगी और मददगार मौजूद नहीं या 5. वह बूढ़ा है कि बग़ैर मददगार के उतर चढ़ नहीं सकेगा और मददगार मौजूद नहीं और यही हुक्म औरत का है या 6. मरज़ में ज्यादती होगी 7. जान या 8. माल या औरत को आबरू का अँदेशा हो। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुल मुहतार) चलती रेलगाड़ी पर भी फ़र्ज़ व वाजिब और सुन्नते फ़ज्र नहीं हो सकती और उस को जहाज़ या कश्ती के हुक्म में तसव्वुर करना ग़ल्ती है कि कश्ती अगर ठहराई भी जाये जब भी ज़मीन पर न ठहरेगी और रेलगाड़ी ऐसी नहीं और कश्ती पर भी उसी वक़्त नमाज़ जाइज़ है जब वह बीच दरिया मे हो, किनारे पर हो और खुश्की पर आ सकता हो तो कश्ती पर भी जाइज़ नहीं है। लिहाज़ा जब भी स्टेशन पर गाड़ी ठहरे उस वक़्त यह नमाज़े पढ़े और अगर देखे कि वक़्त जाता है तो जिस तरह भी मुमकिन हो पढ़ ले फिर जब मौक़ा मिले उन्हें लौटाये कि जहाँ मिन जेहतिल इ़बाद कोई शर्त या रुक्न मफ़क़ूद हो यानी बन्दों की जानिब से कोई शर्त या रुक्न न जाये तो उसका यही हुक्म है।

मसअ्ला :– महमिल (यानी कजावा जो ऊँट वग़ैरा की सवारी के वक्त उसकी पीठ पर रखते हैं)की

एक तरफ़ खुद सवार है दूसरी तरफ़ उसकी माँ या ज़ौजा या और कोई महारिम में से है जो खुद सवार नहीं हो सकती और यह खुद उतर चढ़ सकता है मगर इसके उतरने में महमिल गिर जाने का अन्देशा है तो इसे भी उसी पर पढ़ने का हुक्म है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :– जानवर और चलती गाड़ी पर और उस गाड़ी पर जिसका जुवा जानवर पर हो बिला उज़्रे शरई फर्ज़ व सुन्नते फ़ज्र व तमाम वाजिबात जैसे वित्र व नज़र और नफ़्ल जिसको तोड़ दिया हो और सजदए तिलावत जबकि आयते सजदा ज़मीन पर तिलावत की हो अदा नहीं कर सकता और अगर उज़्र की वजह से हो तो इन सब में शर्त यह है कि अगर मुमकिन हो तो क़िब्ला–रू खड़ा करके अदा करे वर्ना जैसे भी मुमकिन हो। (दुर्रे मुख़्तार)

मन्नत मानकर नमाज़ पढ़ने के मसाइल

मसअ्ला :– किसी ने मन्नत मानी कि दो रकअ्तें बग़ैर तहारत पढ़ेगा या उनमें क़िरात न करेगा या नंगा पढ़ेगा या एक या आधी रकअ्त की मन्नत मानी तो इन सब सूरतों में उस पर दो रकअ्त तहारत व सत्र व क़िरात के साथ वाजिब हो गई और तीन की मानी तो चार वाजिब हो गयीं। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मन्नत मानी कि फलाँ मकाम पर नमाज़ पढ़ेगा और उससे कम दर्जे के मकाम पर अदा की हो गई मसलन मस्जिदे हराम में पढ़ने की मन्नत मानी और मस्जिदे कुदुस या घर की मस्जिद में अदा की। औरत ने मन्नत मानी कि कल नमाज़ पढ़ेगी या रोज़ा रखेगी दूसरे दिन उसे हैज़ आ गया तो कज़ा करे और अगर यह मन्नत मानी कि हालते हैज़ में दो रकअ्त पढ़ेगी तो कुछ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मन्नत मानी कि आज दो रकअ्त पढ़ेगा और आज न पढ़ी तो इसकी कज़ा नहीं बल्कि कफ़्फ़ारा देना होगा। (आलमगीरी)

नोट :– इसका कफ़्फ़ारा वही है जो क़सम तोड़ने का है यानी एक गुलाम आज़ाद करना या दस मिस्कीनों को दोनों वक़्त पेट भर कर खाना खिलाना या कपड़ा देना या तीन रोज़े रखना।

मसअ्ला :– महीने भर की नमाज़ की मन्नत मानी तो एक महीने के फ़र्ज़ व वित्र की मिस्ल उस पर वाजिब है सुन्नत की मिस्ल नहीं मगर वित्र व मग़रिब की जगह चार रकअ्त पढ़े यानी हर रोज़ बाईस रकअ्तें। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर खड़े होकर पढ़ने की मन्नत मानी तो खड़े होकर पढ़ना वाजिब है और मुतलक़ नमाज़ की मन्नत है तो इख़्तियार है। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

तम्बीह :– नवाफ़िल तो बहुत कसीर हैं। औक़ाते ममनूआ (जिन वक़्तों में नमाज़ मना है) के सिवा आदमी जितने चाहे पढ़े मगर इनमें से बाज़ जो हुज़ूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अइम्माए दीन रदियल्लाहु तआला अन्हुम से मरवी हैं बयान किये जाते हैं।

तहिय्यतुल मस्जिद :– जो शख़्स मस्जिद में आये उसे दो रकअ्त नमाज़ पढ़ना सुन्नत है बल्कि बेहतर यह है कि चार पढ़े बुख़ारी व मुस्लिम, सरवरे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो शख़्स मस्जिद में दाख़िल हो बैठने से पहले दो रकअ्त पढ़ ले।

मसअ्ला :– ऐसे वक़्त मस्जिद में आया जिसमें नफ़्ल नमाज़ मकरूह है मसलन बाद तुलूए फ़ज्र या बाद नमाज़े अस्र वह तहिय्यतुल मस्जिद न पढ़े बल्कि तस्बीह व दुरूद शरीफ़ में मशग़ूल हो मस्जिद का हक़ अदा हो जायेगा।

मसअ्ला :– फ़र्ज़ या सुन्नत या कोई नमाज़ मस्जिद में पढ़ ली तहिय्यतुल मस्जिद अदा हो गई

अगर्चे तहिय्यतुल मस्जिद की नियत न की हो। इस नमाज़ का हुक्म उस के लिए है जो नमाज़ की नियत से न गया हो बल्कि दर्स व ज़िक्र वग़ैरा के लिए गया हो अगर फ़र्ज़ या इक़्तिदा की नियत से मस्जिद में गया तो यही तहिय्यतुल मस्जिद के क़ाइम मक़ाम है बशर्ते कि दाख़िल होने के बाद ही पढ़े और अगर अर्से के बाद पढ़ेगा तो तहिय्यतुल मस्जिद पढ़े। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– बेहतर यह है कि बैठने से पहले तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ ले और बग़ैर पढ़े बैठ गया तो साक़ित न हुई अब पढ़े। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– हर रोज़ एक बार तहिय्यतुल मस्जिद काफ़ी है हर बार ज़रूरत नहीं और अगर कोई शख़्स बे–वुज़ू मस्जिद में गया और कोई वजह है कि तहिय्यतुल मस्जिद नहीं पढ़ सकता। तो चार बार यह पढ़ ले। :– سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرْ (दुर्रे मुख़्तार)

तहिय्यतुल वुज़ू :– वुज़ू के बाद अअ्ज़ा ख़ुश्क होने से पहले दो रकअ्त नमाज़ पढ़ना मुस्तहब है। सही मुस्लिम में है नबी सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स वुज़ू करे और अच्छा वुज़ू करे और ज़ाहिर व बातिन के साथ मुतवज्जेह होकर दो रकअ्त पढ़े उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है।

मसअला :– गुस्ल के बाद भी दो रकअ्त नमाज़ मुस्तहब है वुज़ू के बाद फ़र्ज़ वग़ैरा पढ़े तो तहिय्यतुल वुज़ू की जगह हो जायेंगी। (रद्दुल मुहतार)

नमाज़े इशराक़ :– तिर्मिज़ी अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम जो फज्र की नमाज़ जमाअ्त से पढ़कर ज़िक्रे ख़ुदा करता रहा यहाँ तक कि आफ़ताब बलन्द हो गया फिर दो रकअ्तें पढ़े तो उसे पूरे हज व उ़मरा का सवाब मिलेगा।

नमाज़े चाश्त :– नमाज़े चाश्त मुस्तहब है कम अज़ कम दो और ज़्यादा से ज़्यादा चाश्त की बारह रकअ्तें हैं और अफ़ज़ल बारह हैं कि हदीस में है जिसने चाश्त की बारह रकअ्तें पढ़ीं अल्लाह तआला उसके लिए जन्नत में सोने का महल बनायेगा। इस हदीस को तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया सही मुस्लिम शरीफ़ में अबू ज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम आदमी पर उसके हर जोड़ के बदले सदक़ा है (और कुल तीन सौ साठ जोड़ हैं)हर तस्बीह सदक़ा है और हर हम्द सदक़ा है और 'लाइलाहा इल्लल्लाह कहना सदक़ा है और 'अल्लाहु अकबर' कहना सदक़ा है और अच्छी बात का हुक्म करना सदक़ा है और बुरी बात से मना करना सदक़ा है और इन सब की तरफ़ से दो रकअ्तें चाश्त की किफ़ायत करती हैं। तिर्मिज़ी अबू दरदा व अबू ज़र से और अबू दाऊद व दारमी नईम इब्ने हुमार से और अहमद इन सब से रावी रदियल्लाहु तआला अन्हुम कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम अल्लाह तआला फ़रमाता है ऐ इब्ने आदम शुरूअ् दिन में मेरे लिए चार रकअ्तें पढ़ ले आख़िर दिन तक मैं तेरी किफ़ायत फ़रमाऊँगा। तबरानी अबू दरदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम जिसने दो रकअ्तें चाश्त की पढ़ीं ग़ाफ़िलीन यानी नेक काम से ग़ाफ़िल रहने वालों में नहीं लिखा जायेगा और जो छः पढ़े उस दिन उसकी किफ़ायत की गई और जो आठ पढ़े अल्लाह तआला उसे क़ानितीन (फ़रमाँबरदार) में लिखेगा और जो बारह पढ़े अल्लाह तआला उसके लिए जन्नत में एक महल

बनाएगा और कोई दिन या रात नहीं जिसमें अल्लाह तआला बन्दों पर एहसान व सदका न करे और उस बन्दे से बढ़कर किसी पर एहसान न किया जिसे अपना ज़िक्र इल्हाम किया। अहमद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो चाश्त की दो रकअ़तों पर मुहाफ़िज़त करे यानी हमेशा पढ़ता रहे तो उसके गुनाह बख़्श दिये जायेंगे अगर्चे समुन्दर के झाग बराबर हों।

मसअ्ला :– इसका वक़्त आफ़ताब बलन्द होने से ज़वाल यानी निस्फ़ुन्नहारे शरई तक है और बेहतर यह है कि चौथाई दिन चढ़े पढ़े। (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

नमाज़े सफ़र :– सफ़र में जाते वक़्त दो रकअ़त अपने घर पर पढ़कर जाये। तबरानी की हदीस में है कि किसी ने अपने अहल (घर वालों) के पास उन दो रकअ़तों से बेहतर न छोड़ा जो सफ़र के इरादे के वक़्त उन के पास पढ़ीं।

नमाज़े वापसीए सफ़र :– सफ़र से वापस होकर दो रकअ़तें मस्जिद में अदा करे। सही मुस्लिम में कअ़ब इब्ने मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सफ़र से दिन में चाश्त के वक़्त तशरीफ़ लाते और पहले मस्जिद में जाते और दो रकअ़तें उसमें नमाज़ पढ़ते फिर वहीं मस्जिद में तशरीफ़ रखते।

मसअ्ला :– मुसाफ़िर को चाहिए कि हर मन्ज़िल में बैठने से पहले दो रकअ़त नफ़्ल पढ़े जैसे हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किया करते थे।(रद्दुलमुहतार)

सलातुल लैल :– रात में बाद नमाज़े इशा जो नवाफ़िल पढ़े जायें उनको सलातुल लैल कहते हैं और रात के नवाफ़िल दिन के नवाफ़िल से अफ़ज़ल हैं कि सहीह मुस्लिम शरीफ़ में है फ़र्ज़ के बाद अफ़ज़ल नमाज़ रात की नमाज़ है और तबरानी ने रिवायत की है कि रात में कुछ नमाज़ ज़रूरी है अगर्चे इतनी ही देर जितनी देर में बकरी दुह लेते हैं और इशा के फ़र्ज़ के बाद जो नमाज़ पढ़ी वह सलातुल लैल है।

मसअ्ला :– इसी सलातुल लैल की एक क़िस्म तहज्जुद है कि इशा के बाद रात में सो कर उठें और नवाफ़िल पढ़ें सोने से पहले जो कुछ पढ़ीं वह तहज्जुद नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– कम से कम तहज्जुद की दो रकअ़तें हैं और हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से आठ तक साबित हैं। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स रात में बेदार हो और अपने अहल को जगाये फिर दोनों दो दो रकअ़त पढ़ें तो कसरत से यादे ख़ुदा करने वालों में लिखे जायेंगे इस हदीस को नसई व इब्ने माजा अपनी सुनन में और इब्ने हब्बान अपनी सही में और हाकिम ने मुस्तदरक में रिवायत किया है और मुनज़िरी ने कहा कि यह हदीस शैख़ैन की शर्त पर सही है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जो शख़्स दो तिहाई रात सोना चाहे और एक तिहाई इबादत करना चाहे उसे अफ़ज़ल यह है कि पहली और पिछली तिहाई में सोये और बीच की तिहाई में इबादत करे और अगर निस्फ़ (आधी)शब में सोना चाहता है और निस्फ़ में जागना तो पिछली निस्फ़ में इबादत अफ़ज़ल है कि सही बुख़ारी व मुस्लिम में अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि रब तआला हर रात में जब पिछली तिहाई बाक़ी रहती है

आसमाने दुनिया पर तजल्लीए ख़ास फ़रमाता है और फ़रमाता है, है कोई दुआ करने वाला कि उसकी दुआ कबूल करूँ' है कोई माँगने वाला कि उसको दूँ, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि उसकी बख़्शिश करूँ और सब से बढ़ कर तो यह है कि यह नमाज़ नमाज़े दाऊद है कि बुख़ारी व मुस्लिम अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया सब नमाज़ों में अल्लाह तआला को ज़्यादा महबूब नमाज़े दाऊद है कि आधी रात सोते और तिहाई रात इबादत करते फिर छठे हिस्से में सोते।

मसअला :– जो शख़्स तहज्जुद का आदी हो बिला उज़्र उसे छोड़ना मकरूह है कि सही बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है हुज़ूरे अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से इरशाद फ़रमाया ऐ अब्दुल्ला तू फ़ुलाँ की तरह न होना कि रात में उठा करता था फिर छोड़ दिया। नीज़ बुख़ारी व मुस्लिम वग़ैरहुमा में है फ़रमाया कि आमाल में ज़्यादा पसन्द अल्लाह तआला को वह है जो हमेशा हो अगर्चे थोड़ा हो।

मसअला :– ईदैन और पन्द्रहवीं शाबान की रातों और रमज़ान की आख़िरी दस रातों और ज़िलहिज्जा की पहली दस रातों में शब बेदारी मुस्तहब है अकसर हिस्से में जागना भी शब बेदारी है (दुर्रे मुख़्तार) ईदैन की रातों में शब बेदारी यह है कि इशा व सुबह दोनों जमाअते ऊला से हों कि सही हदीस में फ़रमाया जिसने इशा की नमाज़ जमाअत से पढ़ी उसने आधी रात इबादत की और जिसने नमाज़े फ़ज्र जमाअत से पढ़ी उसने सारी रात इबादत की और इन रातों में अगर जागेगा तो नमाज़े ईदैन व कुर्बानी वग़ैरा में दिक़्क़त होगी। लिहाज़ा इसी पर इक्तिफ़ा करे और अगर इन कामों में फ़र्क़ न आये तो जागना बहुत बेहतर है।

मसअला :– इन रातों में तन्हा नफ़्ल नमाज़ पढ़ना और तिलावते कुर्आन मजीद और हदीस पढ़ना और सना और दुरूद शरीफ़ पढ़ना शब बेदारी है न कि ख़ाली जागना। (रद्दुलमुहतार)

सलातुल लैल के मुतअल्लिक़ आठ हदीसें बीच–बीच में अभी ज़िक्र हुईं उसके फ़ज़ाइल की बाज़ हदीसें और सुनें।

हदीस :– तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व हाकिम अब्दुल्लाह इब्ने सलाम रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीने में तशरीफ़ लाये तो कसरत से लोग हाज़िरे ख़िदमत हुए मैं भी हाज़िर हुआ। जब मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे को ग़ौर से देखा पहचान लिया कि यह मुँह झूटों का मुँह नहीं। कहते हैं पहली बात जो मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुनी यह है फ़रमाया ऐ लोगो। सलाम शाए करो यानी ख़ूब सलाम किया करो, और खाना खिलाओ, और रिश्तेदारों से नेक सुलूक करो, और रात में नमाज़ पढ़ो, जब लोग सोते हों, सलामती के साथ जन्नत में दाख़िल होगे।

हदीस :– हाकिम ने रिवायत की कि अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु ने सवाल किया था कि कोई ऐसी चीज़ इरशाद हो कि उस पर अमल करूँ तो जन्नत में दाख़िल होऊँ। इस पर भी वही जवाब इरशाद हुआ।

हदीस :– तबरानी कबीर में और हाकिम अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जन्नत में एक बालाख़ाना है कि बाहर का अन्दर से दिखाई

देता है और अन्दर का बाहर से। अबू मालिक अशअ़री ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह! वह किस के लिए है? फ़रमाया उसके लिए कि अच्छी बात करे और खाना खिलाये और रात में क़ियाम करे जब लोग सोते हों और इसी के मिस्ल अबू मालिक अशअ़री रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से भी मरवी है।

हदीस :–बैहक़ी की एक रिवायत असमा बिन्ते यज़ीद रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से है कि फ़रमाते हैं क़ियामत के दिन लोग एक मैदान में जमा किए जायेंगे उस वक़्त मुनादी पुकारेगा कहाँ हैं वह जिनकी करवटें ख़्वाब गाहों से जुदा होती थीं। वह लोग खड़े होंगे और थोड़े होंगे यह जन्नत में बग़ैर हिसाब दाख़िल होंगे फिर और लोगों के लिए हिसाब का हुक्म होगा।

हदीस :– सही मुस्लिम में जाबिर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं रात में एक ऐसी साअ़त है कि मर्द मुसलमान उस साअ़त में अल्लाह तआ़ला से दुनिया व आख़िरत की जो भलाई माँगेगा वह उसे देगा और यह हर रात में है।

हदीस :– तिर्मिज़ी अबू उमामा बाहली रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं क़ियामुल लैल को अपने ऊपर लाज़िम कर लो कि यह अगले नेक लोगों का तरीक़ा है और तुम्हारे रब की तरफ़ क़ुर्बत (नज़्दीकी) का ज़रिया,सय्येआत (गुनाह) मिटाने वाला और गुनाह से रोकने वाला और सलमान फ़ारसी रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु की रिवायत में यह भी है कि बदन से बीमारी दफ़ा करने वाला है।

रात में पढ़ने की कुछ दुआ़यें

हदीस :– सही बुख़ारी में उ़बादह इब्ने सामित रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जो रात मे उठे और यह दुआ़ पढ़े :–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ رَبِّ اغْفِرْلِىْ.

तर्जमा :–" अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं,वह तन्हा है उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए मुल्क है और उसी के लिए हम्द है और वह हर शय पर क़ादिर है और पाक है अल्लाह और हम्द है अल्लाह के लिए और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह बड़ा है और नहीं है गुनाह से फिरना और न नेकी की ताक़त मगर अल्लाह के साथ, ऐ मेरे परवरदगार! तू मुझे बख़्श दे"।

फिर जो दुआ़ करे मक़बूल होगी और अगर वुज़ू करके नमाज़ पढ़े तो उसकी नमाज़ मक़बूल होगी।

हदीस :– सही बुखारी व मुस्लिम में अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम रात को तहज्जुद के लिए उठते तो यह दुआ़ पढ़ते।

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَّالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِىْ مَاقَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ.

तर्जमा :– " इलाही तेरे ही लिए हम्द है आसमान व ज़मीन और जो कुछ इनमें है सबका तू क़ाइम रखने वाला है और तेरे ही लिए हम्द है। आसमान व ज़मीन और जो कुछ इनमें है सब का तू नूर है और तेरे ही लिए हम्द है। आसमान व ज़मीन और जो कुछ इनमें है सब का तू बादशाह है और

तेरे ही लिए हम्द है तू हक़ है और तेरा वअ्दा हक़ है और तेरा क़ौल हक़ है और तुझ से मिलना (क़ियामत में)हक़ है और जन्नत हक़ है और दोज़ख़ हक़ है और अम्बिया हक़ हैं और मुहम्मदसल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम हक़ हैं और क़ियामत हक़ है ऐ अल्लाह। तेरे लिए मैं इस्लाम लाया और तुझ पर ईमान लाया और तुझ ही पर तवक्कुल किया और तेरी तरफ़ रुजू किया और तेरी ही मदद से ख़ुसूमत (झगड़ा) की और तेरी ही तरफ़ फ़ैसला लाया, पस तू बख़्श दे मेरे लिए वह गुनाह जो मैंने पहले किया और पीछे किया औा छिपा कर किया और एलानिया किया और वह गुनाह जिसको तू मुझ से ज़्यादा जानता है तू ही आगे बढ़ाने वाला है और तू ही पीछे हटाने वाला है तेरे सिवा कोई मअ्बूद नहीं "।

यह एक दुआ और चन्द हदीसें ज़िक्र कर दी गयीं और इसके अ़लावा इस नमाज़ के फ़ज़ाइल में बकसरत अहादीस वारिद हैं जिसे अल्लाह तआ़ला तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाये उसके लिए यही बस है

नमाज़े इस्तिख़ारा :– हदीसे सही जिसको मुस्लिम के सिवा जमाअ़ते मुहद्दिसीन ने जाबिर इब्ने अ़ब्दुल्ला रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत किया फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम हम को तमाम उमूर (कामों)में इस्तिख़ारा की तअ़्लीम फ़रमाते जैसे कु़र्आन की सूरत तअ़्लीम फ़रमाते थे। फ़रमाते हैं जब कोई किसी अम्र (काम) का इरादा करे तो दो रकअ़त नफ़्ल पढ़े फिर कहे :–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُكَ بِعِلْمِكَ وَ اَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِیْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَ لَا اَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَ لَا اَعْلَمُ وَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَاالْاَمْرَ خَیْرٌ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَ مَعَاشِیْ وَ عَاقِبَةِ اَمْرِیْ اَوْ قَالَ عَاجِلِ اَمْرِیْ وَ اٰجِلِهٖ فَاقْدُرْهُ لِیْ وَ یَسِّرْهُ لِیْ ثُمَّ بَارِكْ لِیْ فِیْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَ مَعَاشِیْ وَ عَاقِبَةِ اَمْرِیْ اَوْ قَالَ عَاجِلِ اَمْرِیْ وَ اٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّیْ وَاصْرِفْنِیْ عَنْهُ وَ اقْدُرْلِیَ الْخَیْرَ حَیْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِیْ بِهٖ.

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह ! मैं तुझ से इस्तिख़ारा करता हूँ तेरे इल्म के साथ और तेरी कु़दरत के साथ तलबे कु़दरत करता हूँ और तुझ से तेरे फ़ज़्ले अज़ीम का सवाल करता हूँ इसलिए कि तू क़ादिर है और मैं क़ादिर नहीं और तू जानता है और मैं नहीं जानता और तू ग़ैबों का जानने वाला है। ऐ अल्लाह! अगर तेरे इल्म में यह है कि यह काम मेरे लिए बेहतर है मेरे दीन व मईशत (ज़िन्दगी) और अन्जामकार (नतीजा) में या फ़रमाया इस वक़्त और आइन्दा में तो इसको मेरे लिए मुक़द्दर कर दे और आसान कर फिर उस में बरकत दे मेरे लिए और अगर तेरे इल्म में यह काम मेरे लिए बुरा है दीन व मईशत और अन्जामकार में या फ़रमाया इस वक़्त और आइन्दा में तो इसको मुझ से फेर दे और मुझ को इससे फेर और मेरे लिए ख़ैर को मुक़र्रर फ़रमा जहाँ भी हो फ़िर मुझे उस से राज़ी कर"।

और अपनी हाजत ज़िक्र कर के ख़्वाह बजाए هٰذَاالْاَمْرَ के हाजत का नाम ले या उसके बाद اَوْ عَاجِلِ اَمْرِیْ में रावी को शक है कि हुजूर ने दोनों में से क्या फ़रमाया। (रद्दुल मुहतार)

फ़ुक़हा फ़रमाते हैं जमा करे यानी यूँ कहे وَ عَاقِبَةِ اَمْرِیْ وَ عَاجِلِ اَمْرِیْ وَ اٰجِلِهٖ. (गुनिया)

मसअ्ला :– हज और जिहाद और दूसरे नेक काम में नफ़्से फ़ेल के लिए इस्तिख़ारा नहीं हो सकता हाँ तअ़य्युने वक़्त के लिए कर सकते हैं।

मसअ्ला :– मुस्तहब यह है कि इस दुआ के अव्वल आख़िर सूरए फ़ातिहा और दुरूद शरीफ़ पढ़ें

और पहली रकअ़त में قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ और दूसरी में قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ पढ़े और बाज़ मशाइख़ फ़रमाते हैं कि पहली में وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ से يُعْلِنُوْنَ तक और दूसरी में وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ (मुअमिनतिन" से आख़िर आयत तक भी पढ़े। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– बेहतर यह है कि सात बार इस्तिख़ारा करे कि एक हदीस में है ऐ अनस जब तू किसी काम का क़स्द करे तो अपने रब से उसमें सात बार इस्तिख़ारा कर फिर नज़र कर कि तेरे दिल में क्या गुज़रा कि बेशक इसी में ख़ैर है और बाज़ मशाइख़ से मनकूल है कि ऊपर वाली दुआ पढ़ कर बा–तहारत क़िबला–रू–यानी पाकी के साथ क़िब्ले की तरफ़ रुख़ करके सो रहे अगर ख़्वाब में सफ़ेद या हरी चीज़ देखे तो वह काम बेहतर है और काली व लाल चीज़ देखे तो बुरा है उस से बचे। (रद्दुल मुहतार) इस्तिख़ारे का वक़्त उस वक़्त तक है कि एक तरफ़ राए पूरी न जम चुकी हो।

सलाते तस्बीह :– इस नमाज़ में बेइन्तिहा सवाब है। बाज़ मुहक़्क़िक़ीन(बड़े–बड़े उलमा)फ़रमाते हैं इस नमाज़ की बड़ाई सुन कर तर्क न करेगा मगर दीन में सुस्ती करने वाला। नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने हज़रते अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से फ़रमाया ऐ चचा! क्या मैं तुमको अ़ता न करूँ,क्या मैं तुम को न दूँ, क्या तुम्हारे साथ एहसान न करूँ दस ख़सलतें हैं कि जब तुम करो तो अल्लाह तआ़ला तुम्हारा गुनाह बख़्श देगा अगला, पिछला, पुराना, नया, जो भूल कर किया और जो क़स्दन किया छोटा और बड़ा पोशीदा और ज़ाहिर इस के बाद सलाते तस्बीह की तरकीब तअ़लीम फ़रमाई फिर फ़रमाया अगर तुमसे हो सके कि हर रोज़ एक बार पढ़ो तो करो और अगर रोज़ न करो तो हर जुमे में एक बार और यह भी न करो तो हर महीने में एक बार और यह भी न करो तो उम्र में एक बार और इसकी तरकीब हमारे तौर पर वह है जो सुनने तिर्मिज़ी शरीफ़ में अ़ब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु की रिवायत से ज़िक्र किया गया है ,

फ़रमाते हैं कि अल्लाहु अकबर कह कर : –

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ

पढ़े फिर यह पढ़े :–

سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ۔

पन्द्रह बार फिर अऊ़ज़ु और बिस्मिल्लाह और सूरए फ़ातिहा और सूरत पढ़कर दस बार यही तस्बीह पढ़े फ़िर रुकू करे और रुकू में दस बार यही तस्बीह पढ़े फ़िर रुकू से सर उठाये और "समिअ़ल्लाहु लिमन हमिदह्" और "अल्लाहुम–म रब्बना व–लकल हम्द"के बाद दस बार कहे फ़िर सजदे को जाये और उसमें दस बार कहे फिर सजदे से सर उठा कर दस बार कहे फिर सजदे को जाये और उसमें दस मर्तबा पढ़े।. यूँही चार रकअ़त पढ़े हर रकअ़त में 75 बार तस्बीह और चारों में तीन सौ हुईं और रुकू व सुजूद में سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى कहने के बाद तस्बीहात पढ़े। (गुनिया वग़ैरा)

मसअ्ला :– इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से पूछा गया कि आप को मालूम है इस नमाज़ में कौन सूरत पढ़ी ज़ाये। फ़रमाया सूरए तकासुर और सूरए अ़स्र और قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ और قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ और बाज़ ने कहा सूरए हदीद और हश्र और सफ़ और तग़ाबुन। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर सजदए सहव वाजिब हो और सजदा करे तो इन दोनों में तस्बीहात न पढ़ी जायें और अगर किसी जगह भूल कर दस बार से कम पढ़ी हैं तो दूसरी जगह पढ़ ले कि वह मिक़दार

पूरी हो जाये और बेहतर यह है कि उसके बाद जो दूसरा मौका तस्बीह का आवे वहीं पढ़ ले मसलन क़ौमा की सजदे में कहे और रुकू में भूला तो उसे भी सजदा ही में कहे न क़ौमा में कि क़ौमे की मिक़दार थोड़ी होती है और पहले सजदे में भूला तो दूसरी में कहे जलसे में नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– तस्बीह उंगलियों पर न गिने बल्कि हो सके तो दिल में शुमार करे वर्ना उंगलियाँ दबाकर

मसअ्ला :– हर ग़ैर मकरूह वक़्त में यह नमाज़ पढ़ सकता है और बेहतर यह है कि ज़ोहर से पहले पढ़े। (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– इब्ने अ़ब्बास रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि इस नमाज़ में सलाम से पहले यह दुआ़ पढ़े :–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ تَوْفِیْقَ اَهْلِ الْهُدٰی وَ اَعْمَالَ اَهْلِ الْیَقِیْنِ وَ مُنَاصَحَةَ اَهْلِ التَّوْبَةِ وَ عَزْمَ اَهْلِ الصَّبْرِ وَ جِدَّ اَهْلِ الْخَشْیَةِ وَ طَلَبَ اَهْلِ الرَّغْبَةِ وَ تَعَبُّدَ اَهْلِ الْوَرَعِ وَ عِرْفَانَ اَهْلِ الْعِلْمِ حَتّٰی اَخَافَكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مَخَافَةً تَحْجُزُنِیْ عَنْ مَعَاصِیْكَ حَتّٰی اَعْمَلَ بِطَاعَتِكَ عَمَلًا اَسْتَحِقُّ بِهٖ رِضَاكَ وَ حَتّٰی اُنَاصِحَكَ بِالتَّوْبَةِ خَوْفًا مِّنْكَ وَ حَتّٰی اُخْلِصَ لَكَ النَّصِیْحَةَ حُبًّا لَّكَ وَ حَتّٰی اَتَوَكَّلَ عَلَیْكَ فِی الْاُمُوْرِ حُسْنَ ظَنٍّ بِكَ سُبْحٰنَ خَالِقِ النُّوْرِ۔ (रद्दुल मुहतार)

तर्जमा :–" ऐ अल्लाह! मैं तुझ से सवाल करता हूँ हिदायत वालों की तौफ़ीक़ और यक़ीन वालों के अअ्माल और अहले तौबा की ख़ैरख़्वाही और अहले स़ब्र का अ़ज़्म और ख़ौफ़ वालों की कोशिश और रग़बत वालों की त़लब और परहेज़गारों की इबादत और अहले इल्म की मअ्रिफ़त ताकि मैं तुझ से डरूँ। ऐ अल्लाह। मैं तेरी इत़ाअ़त के साथ ऐसा अ़मल करूँ जिसकी वजह से तेरी रज़ा का मुस्तहिक़ हो जाऊँ और ताकि तेरे ख़ौफ़ से ख़ालिस़ तौबा करूँ और ताकि तेरी महब्बत की वजह से ख़ैरख़्वाही को तेरे लिए करूँ और ताकि तमाम कामों में तुझ पर तवक्कुल करूँ तुझ पर नेक गुमान करते हुए, पाक है नूर का पैदा करने वाला।

नमाज़े ह़ाजत :– अबू दाऊद हुज़ैफ़ा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कहते हैं जब हुज़ूर अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम को कोई अहम काम पेश आता तो नमाज़ पढ़ते। इसके लिए दो रकअ्त या चार रकअ्त पढ़े। ह़दीस में है पहली रकअ्तों में सूरए फ़ातिह़ा और तीन बार आयतल, कुर्सी पढ़े बाक़ी तीन रकअ्तों में सूरए फ़ातिह़ा और قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ और قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ٥ और قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ٥ एक–एक बार पढ़े तो यह ऐसी हैं जैसे शबे क़द्र में चार रकअ्तें पढ़ीं।

मशाइख़ फ़रमाते हैं कि हमने यह नमाज़ पढ़ी और हमारी ह़ाजतें पूरी हुईं। एक ह़दीस में है जिसको तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने अबी औफ़ा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत किया कि हुज़ूर अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जिसकी कोई ह़ाजत अल्लाह की त़रफ़ हो या किसी बनी आदम की त़रफ़ तो अच्छी त़रह़ वुज़ू करे फिर दो रकअ्त नमाज़ पढ़कर अल्लाह तआ़ला की सना करे नबी स़ल्ल्ल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे फिर यह पढ़े :–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِیْمُ الْكَرِیْمُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۔ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ

رَحْمَتِكَ وَ عَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَ الْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّ السَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَ لَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَ لَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ.

तर्जमा :– " अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं जो हलीम व करीम है पाक है अल्लाह मालिक है अर्शे अज़ीम का। हम्द है अल्लाह के लिए जो रब है तमाम जहान का मैं तुझ से तेरी रहमत के असबाब माँगता हूँ और तलब करता हूँ तेरी बख़्शिश के ज़रिए और हर नेकी से ग़नीमत और हर गुनाह से सलामती को मेरे लिए कोई गुनाह बग़ैर मग़फ़िरत न छोड़ और हर ग़म को दूर कर दे और जो हाजत तेरी रज़ा के मुवाफ़िक़ है उसे पूरा कर दे ऐ सब मेहरबानों से ज़्यादा मेरहबान।"

तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व तबरानी वग़ैरहुम उसमान इब्ने हनीफ़ रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि एक साहब नाबीना हाज़िरे ख़िदमते अक़दस हुए और अर्ज़ की अल्लाह से दुआ कीजिए कि मुझे आफ़ियत दे। इरशाद फ़रमाया अगर तू चाहे तो दुआ करूँ और चाहे सब्र कर यह तेरे लिए बेहतर है। उन्होंने अर्ज़ की हुज़ूर (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) दुआ करें। उन्हें हुक्म फ़रमाया कि वुज़ू करो और अच्छा वुज़ू करो और दो रकअ़त नमाज़ पढ़ कर यह दुआ पढ़ो :–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ وَ اَتَوَسَّلُ وَ اَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ تَوَجَّهْتُ بِكَ اِلٰى رَبِّيْ فِيْ حَاجَتِيْ هٰذِهٖ لِتُقْضٰى لِيَ اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ.

तर्जमा :–"ऐ अल्लाह!मैं तुझ से सवाल करता हूँ और तवस्सुल करता हूँ और तेरी तरफ़ मुतावज्जेह होता हूँ तेरे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जो नबीये रहमत हैं या रसूलल्लाह!मैं हुज़ूर के ज़रिये से अपने रब की तरफ़ इस हाजत के बारे में मुतावज्जेह होता हूँ ताकि मेरी हाजत पूरी हो इलाही शफ़ाअत मेरे हक़ में क़बूल फ़रमा।"

उसमान इब्ने हनीफ़ रदियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं ख़ुदा की क़सम हम उठने भी न पाये थे, बातें ही कर रहे थे कि वह हमारे पास आये गोया कभी अंधे थे ही नहीं। नीज़ क़ज़ाए हाजत के लिए एक मुजर्रब नमाज़ जो उलमा हमेशा पढ़ते आये यह है कि इमामे आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु के मज़ारे मुबारक पर जाकर दो रकअ़त नमाज़ पढ़े और इमाम के वसीले से अल्लाह तआला से सवाल करे इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फ़रमाते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ तो बहुत जल्द मेरी हाजत पूरी हो जाती है। (ख़ैरातुल हिसान)नीज़ इसके लिए एक मुजर्रब(तजरबा की हुई) **नमाज़ सलातुल असरार** (यानी नमाज़े ग़ौसिया) है जो इमाम अबुल हसन नूरुद्दीन अली इब्ने जरीर लख़मी शतनौफ़ी बहजतुल असरार (किताब का नाम) में और मुल्ला अली क़ारी व शैख़ अब्दुल हक़ रदियल्लाहु तआला अन्हुम हुज़ूर सय्यिदना ग़ौसे आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं। इसकी तरकीब यह है कि बादे नमाज़े मग़रिब सुन्नतें पढ़ कर दो रकअ़त नमाज़ नफ़्ल पढ़े और बेहतर यह है कि सूरए फ़ातिहा के बाद हर रकअ़त में ग्यारह–ग्यारह बार "قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ" पढ़े सलाम के बाद अल्लाह तआला की हम्द व सना करे फिर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ग्यारह–ग्यारह बार दुरूद व सलाम अर्ज़ करे और ग्यारह–ग्यारह बार यह कहे :– يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَغِثْنِيْ وَ امْدُدْنِيْ فِيْ قَضَاءِ حَاجَتِيْ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ.

तर्जमा :– ऐ अल्लाह के रसूल ऐ अल्लाह के नबी मेरी फ़रियाद को पहुँचिए और मेरी मदद कीजिए और मेरी हाजत पूरी होने में ऐ तमाम हाजतों के पूरा करने वाले।

يَاغَوْثَ الثَّقَلَيْنِ وَيَاكَرِيْمَ الطَّرَفَيْنِ اَغِثْنِیْ وَامْدُدْنِیْ فِیْ قَضَاءِ حَاجَتِیْ يَاقَاضِیَ الْحَاجَاتِ

तर्जमा :– " ऐ जिन्न व इन्स के फ़रियादरस ! ऐ दोनों तरफ़ माँ बाप से बुज़ुर्ग मेरी फ़रियाद को पहुँचिये और मेरी मदद कीजिए मेरी ह़ाजत पूरी होने में ऐ ह़ाजतों के पूरा करने वाले"।

फिर हुज़ूर ग़ौसे अअ्ज़म के तवस्सुल से अल्लाह तआ़ला से दुआ़ करे।

नमाज़े तौबा :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा और इब्ने हब्बान अपनी सह़ी में अबूबक सि़द्दीक़ रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जब कोई बन्दा गुनाह करे फिर वुज़ू कर के नमाज़ पढ़े फिर इस्तिग़फ़ार करे अल्लाह तआ़ला उसके गुनाह बख़्श देगा। फिर यह आयत पढ़ी :–

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ۝

तर्जमा :– " जिन्होंने बेहयाई का कोई काम किया या अपनी जानों पर ज़ुल्म किया फिर अल्लाह को याद किया और अपने गुनाहों की बख़्शिश माँगी और कौन गुनाह बख़्शे मगर अल्लाह और अपने किये पर दानिस्ता (जान कर) हठ न की"।

सलातुर्रग़ाइब

मसअ्ला :– सलाते रग़ाइब कि रजब की पहली शबे जुमा और शाबान की पन्द्रहवीं शब और शबे क़द्र में जमाअ़त के साथ नफ़्ल नमाज़ बाज़ जगह लोग अदा करते हैं। फ़ुक़हा इसे नाजाइज़ मकरूह और बिदअ़त कहते हैं और लोग इस बारे में जो ह़दीस बयान करते हैं मुहद्दिसीन उसे मौज़ू (बेअस्ल,मनगढ़न्त) बताते हैं लेकिन अजिल्लए अकाबिर (बड़े–बड़े औलिया) से सह़ी रिवायत के साथ मरवी है तो उसके मना में ग़ुलू न चाहिए और अगर जमाअ़त में तीन से ज़ाइद मुक़तदी न हों तो बिल्कुल कोई ह़रज नहीं।

तरावीह़ का बयान

मसअ्ला :– तरावीह़ मर्द व औरत सब के लिए बिल इजमा यानी सब के नज़दीक सुन्नते मुअक्कदा है इसका तर्क जाइज़ नहीं (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा) इस पर ख़ुलफ़ाए राशेदीन रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम ने मुदावमत फ़रमाई यानी हमेशा पढ़ी और नबी सल्ललाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी सुन्नत और सुन्नते ख़ुलफ़ाए राशेदीन को अपने ऊपर लाज़िम समझो और ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने भी तरावीह़ पढ़ी और उसे बहुत पसंद फ़रमाया। सह़ी मुस्लिम में अबू हुरैरह रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी इरशाद फ़रमाते हैं जो रमज़ान में क़ियाम करे ईमान की वजह से और सवाब त़लब करने के लिए उसके अगले सब गुनाह बख़्श दिये जायेंगे यानी सग़ाइर(छोटे–छोटे गुनाह)फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने इस अन्देशे से कि उम्मत पर फ़र्ज़ न हो जाये तर्क फ़रमाई फिर फ़ारूक़े अअ्ज़म रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु रमज़ान में एक रात मस्जिद में तशरीफ़ ले गये और लोगों को मुतफ़र्रिक़ त़ौर पर नमाज़ पढ़ते पाया, कोई तन्हा पढ़ रहा है किसी के साथ कुछ लोग पढ़ रहे हैं। फ़रमाया मैं मुनासिब जानता हूँ कि इस सब को एक इमाम के साथ जमा कर दूँ तो बेहतर हो। सब को एक इमाम उबई इब्ने कअ़ब रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के साथ इकट्ठा कर दिया फिर दूसरे दिन तशरीफ़ ले गये तो मुलाहिज़ा फ़रमाया कि लोग अपने इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं फ़रमाया :– نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِہٖ **तर्जमा** :– यह अच्छी बिदअ़त है। (रवाहु अस्हाबुस सुनन)

मसअला :– जम्हूर यानी अक्सर उ़लमा किराम का मज़हब यह है कि तरवीह की बीस रकअ़तें हैं और यही अहादीस से साबित है। बैहक़ी ने साइब इब्ने यज़ीद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से सही सनद के साथ रिवायत की कि लोग फ़ारूके अअ़ज़म रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के ज़माने में बीस रकअ़तें पढ़ा करते थे और हज़रते उ़समान व अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा के अ़हद में भी यूँ ही था और मुअत्ता में यज़ीद इब्ने रूमान से रिवायत है कि उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के ज़माने में लोग रमज़ान में तेईस (23) रकअ़तें पढ़ते। बैहक़ी ने कहा इसमें तीन रकअ़तें वित्र की हैं और मौला अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने एक शख़्स को हुक्म फ़रमाया कि रमज़ान में लोगों को बीस रकअ़तें पढ़ाये नीज़ इसके बीस रकअ़त होने में यह हिकमत है कि फ़राइज़ व वाजिबात की इससे तकमील होती है और कुल फ़राइज़ व वाजिब की हर रोज़ बीस रकअ़तें हैं। लिहाज़ा मुनासिब है कि यह भी बीस हों कि मुकम्मल(पूरा किया हुआ) व मुकम्मिल (पूरा करने वाला) बराबर हों।

मसअला :– इसका वक़्त इशा के फ़र्ज़ों के बाद से तूलुए फ़ज्र तक है व वित्र से पहले भी हो सकती है और बाद में भी तो अगर कुछ रकअ़तें इसकी बाक़ी रह गईं कि इमाम वित्र को खड़ा हो गया तो इमाम के साथ वित्र पढ़ ले फिर बाक़ी अदा करे जबकि फ़र्ज़ जमाअ़त से पढ़े हों और यह अफ़ज़ल है,और अगर तरावीह पूरी कर के वित्र तन्हा पढ़े तो भी जाइज़ है और अगर बाद में मअ़लूम हुआ कि नमाज़े इशा बिग़ैर तहारत पढ़ी थी और तरावीह व वित्र तहारत के साथ तो इशा व तरावीह फिर पढ़े वित्र हो गया। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मुस्तहब यह है कि तिहाई रात तक ताख़ीर करे और आधी रात के बाद पढ़े तो भी कराहत नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर तरावीह फ़ौत हो जाये तो इनकी क़ज़ा नहीं यानी छूट गई कि वक़्त जाता रहा और अगर क़ज़ा तन्हा पढ़ ले तो तरावीह नहीं बल्कि नफ़्ले मुस्तहब हैं जैसे मग़रिब व इशा की सुन्नतें। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– तरावीह की बीस रकअ़तें दस सलाम से पढ़े यअ़नी हर दो रकअ़त पर सलाम फेरे और अगर किसी ने बीसों रकअ़तें पढ़ कर आख़िर में सलाम फेरा तो अगर हर दो रकअ़त पर क़अ़दा करता रहा तो हो जायेगी मगर कराहत के साथ और अगर क़अ़दा न किया था तो दो रकअ़त के क़ाइम मक़ाम हुई यअ़नी सिर्फ़ दो रकअ़त तरावीह हुई। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– एहतियात यह है कि जब दो रकअ़त पर सलाम फेरे तो हर दो रकअ़त पर अलग–अलग नियत करे और अगर एक साथ बीसों रकअ़त की नियत कर ली तो भी जाइज़ है (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– तरावीह में एक बार क़ुर्आन मजीद ख़त्म करना सुन्नते मुअक्कदा है और दो मर्तबा फ़ज़ीलत और तीन मर्तबा अफ़ज़ल लोगों की सुस्ती की वजह से क़ुर्आन शरीफ़ के ख़त्म करने को तर्क न करे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– इमाम व मुक़तदी हर दो रकअ़त पर सना पढ़ें और तशह्हुद के बाद दुआ भी हाँ अगर मुक़तदियों पर गिरानी हो तो तशह्हुद के बाद सिर्फ़ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ पढ़ कर सलाम फेर दे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर एक क़ुर्आन पाक ख़त्म करना हो तो बेहतर यह है कि सत्ताईसवीं शब में ख़त्म

हो फिर अगर इस रात में या इसके पहले ख़त्म हो तो तरावीह आख़िर रमज़ान तक बराबर पढ़ते रहें कि सुन्नते मुअक्कदा हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अफ़ज़ल यह है कि तमाम शुफ़ओं में क़िरात बराबर हो और अगर ऐसा न किया जब भी हरज नहीं। यूँ ही हर शुफ़आ यानी दोनों रकअ्तों की पहली रकअ्त और दूसरी रकअ्त की क़िरात मसावी (बराबर) हो दूसरी की क़िरात पहली से ज़्यादा न होना चाहिए। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़िरात और अरकान की अदा में जल्दी करना मकरूह है और जितनी तरतील ज़्यादा हो बेहतर है। यूँही अऊज़ु व बिस्मिल्लाह व तमानीयत (इत्मीनान)व तस्बीह का छोड़ देना भी मकरूह है। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– हर चार रकअ्त एक तरवीहा है। इस तरह बीस रकअ्त में पाँच तरवीहा हुईं।

मसअ्ला :– हर चार रकअ्त पर इतनी देर तक बैठना मुस्तहब है जितनी देर में चार रकअ्तें पढ़ें पाँचवीं तरवीहा और वित्र के दरमियान अगर बैठना लोगों पर गिराँ हो तो न बैठे (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– इस बैठने में उसे इख़्तियार है कि चुपका बैठा रहे या कलिमा पढ़े या तिलावत करे या दुरूद शरीफ़ पढ़े या चार रकअ्तें तन्हा नफ़्ल पढ़े जमाअत से मकरूह है या यह तस्बीह पढ़े :–

سُبْحَانَ ذِی الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوْتِ .سُبْحَانَ ذِیْ الْعِزَّةِ وَ الْعَظْمَةِ وَ الْهَیْبَةِ وَ الْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِیَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ.سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَیِّ الَّذِیْ لَا یَنَامُ وَ لَا یَمُوْتُ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَ رَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ. لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ نَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَ نَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ.

तर्जमा :– पाक है मुल्क व मलकूत वाला पाक है इ़ज़्ज़त व बुज़ुर्गी और हैबत व क़ुदरत वाला बड़ाई और जबरूत (ताक़त) वाला पाक है बादशाह जो ज़िन्दा है जो न सोता है न मरता है। पाक मुक़द्दस है फ़रिश्तों और रूह का मालिक। अल्लाह के सिवा कोई मअ्बूद नहीं। अल्लाह से हम मग़फ़िरत चाहते हैं, तुझ से जन्नत का सवाल करते हैं और जहन्नम से तेरी पनाह माँगते हैं।

मसअ्ला :– हर दो रकअ्त के बाद दो रकअ्त पढ़ना मकरूह है यूँ ही दस रकअ्त के बाद बैठना भी मकरूह। (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला :– तरावीह में जमाअ़त सुन्नते किफ़ाया है कि अगर मस्जिद के सब लोग छोड़ देंगे तो सब गुनाहगार होंगे और अगर किसी एक ने घर में तन्हा पढ़ ली तो गुनाहगार नहीं मगर जो शख़्स मुक़तदा(जिसकी पैरवी की जाये जैसे मज़हबी पेशवा) हो कि उसके होने से जमाअ़त बड़ी होती है और छोड़ देगा तो लोग कम हो जायेंगे उसे बिला उ़ज़्र जमाअ़त छोड़ने की इजाज़त नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– तरावीह मस्जिद में बा–जमाअ़त पढ़ना अफ़ज़ल है अगर घर में जमाअ़त से पढ़ी तो जमाअ़त के तर्क का गुनाह न हुआ मगर वह सवाब न मिलेगा जो मस्जिद में पढ़ने का था।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर आ़लिम हाफ़िज़ भी हो तो अफ़ज़ल यह है कि ख़ुद पढ़े दूसरे की इक़्तिदा न करे और अगर इमाम ग़लत पढ़ता हो तो मस्जिदे मुहल्ला छोड़ कर दूसरी मस्जिद में जाने में हरज नहीं यूँही अगर दुसरी जगह का इमाम ख़ुश आवाज़ हो या हल्की क़िरात पढ़ता हो या मस्जिदे मुहल्ला में ख़त्म न होगा तो दूसरी मस्जिद में जाना जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– ख़ुशख़्वाँ यानी अच्छी आवाज़ से पढ़ने वाले को इमाम बनाना न चाहिये बल्कि दुरुस्तख़्वाँ यअ्नी सही क़ुर्आन पढ़ने वाले को इमाम बनायें।(आलमगीरी)अफ़सोस सद अफ़सोस कि इस ज़माने में हाफ़िज़ों की हालत निहायत ख़राब है अक्सर लोग तो ऐसा पढ़ते हैं कि یَعْلَمُوْنَ تَعْلَمُوْنَ के सिवा

कुछ नहीं पता चलता, अलफ़ाज व हुरूफ़ खा जाया करते हैं जो अच्छा पढ़ने वाले कहे जाते हैं उन्हें देखिये तो हुरूफ़ सही अदा नहीं करते ط، ت، ص، س، ث और ظ، ز، ذ और ع، ا، हम्ज़ा वग़ैरा हुरूफ़ में फ़र्क नहीं करते जिस से क़तअ़न नमाज़ नहीं होती। फ़क़ीर को इन्हीं मुसीबतों की वजह से तीन साल ख़त्मे कुर्आन मजीद सुनना न मिला। अल्लाह तआ़ला मुसलमान भाईयों को तौफ़ीक़ दे कि जैसे अल्लाह तआ़ला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम पर कुर्आने पाक नाज़िल फ़रमाया है उसी त़रह पढ़ने की कोशिश करें। आमीन!

मसअ्ला :– आजकल अकसर रिवाज हो गया है कि ह़ाफ़िज़ को उजरत देकर तरावीह़ पढ़वाते हैं यह नाजाइज़ है देने वाला और लेने वाला दोनों गुनाहगार हैं। उजरत सिर्फ़ यही नहीं कि पहले से मुक़र्रर कर लें कि यह लेंगे यह देंगे बल्कि अगर मालूम है कि यहाँ कुछ मिलता है अगर्चे उससे त़य न हुआ हो यह भी नाजाइज़ है क्यूँकि जो चीज़ मशहूर है वह शर्त की त़रह है। हाँ अगर कह दे कि कुछ नहीं दूँगा या नहीं लूँगा फिर पढ़े और ह़ाफ़िज़ की ख़िदमत करें तो इस में ह़रज नहीं क्यूँकि सरीह़ दलालत़ पर फ़ौक़ियत रखता है यानी खुल्लमखुल्ला कह देना इशारे से बढ़ कर मत़लब यह है कि जब साफ़–साफ़ कह दिया गया तो अब वह हुक्म नहीं।

मसअ्ला :– एक इमाम दो मस्जिदों में तरावीह़ पढ़ाता है अगर दोनों में पूरी पूरी पढ़ाये तो नाजाइज़ है और मुक़तदी ने दो मस्जिदों में पूरी पूरी पढ़ीं तो ह़रज नहीं मगर दूसरी में वित्र पढ़ना जाइज़ नहीं जबकि पहली में पढ़ चुका और अगर घर में तरावीह़ पढ़कर मस्जिद में आया और इमामत की तो मकरूह है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– लोगों ने तरावीह़ पढ़ लीं अब दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो तन्हा–तन्हा पढ़ सकते हैं जमाअ़त की इजाज़त नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अफ़ज़ल यह है कि एक इमाम के पीछे पढ़ें और दो के पीछे पढ़ना चाहें तो बेहतर यह है कि पूरे तरवीहा पर इमाम बदलें मसलन आठ एक के पीछे और बारह दूसरे के पीछे।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– नाबालिग़ के पीछे बालिग़ों की तरावीह़ न होंगी यही सही है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– रमज़ान शरीफ़ में वित्र जमाअ़त के साथ पढ़ना अफ़ज़ल है ख़्वाह उसी इमाम के पीछे जिसके पीछे इशा व तरावीह़ पढ़ी या दूसरे के पीछे। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– यह जाइज़ है कि एक शख़्स इशा व वित्र पढ़ाये दूसरा तरावीह़ जैसा कि ह़ज़रते उ़मर फ़ारूक़े आज़म रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु इशा व वित्र की इमामत करते थे और उबई इब्ने कअ़ब रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु तरावीह़ की। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर सब लोगों ने इशा की जमाअ़त तर्क कर दी तो तरावीह़ भी जमाअ़त से न पढ़ें। हाँ इशा जमाअ़त से हुई और बाज़ को जमाअ़त न मिली तो यह तरावीह़ की जमाअ़त में शरीक हों।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर इशा जमाअ़त से पढ़ी और तरावीह़ तन्हा तो वित्र की जमाअ़त में शरीक हो सकता है और अगर इशा तन्हा पढ़ ली अगर्चे तरावीह़ बा–जमाअ़त पढ़ी तो वित्र तन्हा पढ़े।(दुर्रेमुख़्तार,रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला :– इशा की सुन्नतों का सलाम न फेरा इसी में तरावीह़ मिलाकर शुरू की तो तरावीह़ नहीं हुई। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– तरावीह़ बैठ कर पढ़ना मकरूह है बल्कि बाज़ों के नज़दीक तो होगी ही नहीं।(दुर्रे मुख़्तार)

हमे बड़ी मुसर्रत हो रही है कि अल्लाह त'आला और उसके हबीब सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम के हुक्म फ़ज़्ल-ओ-करम से और बुज़ुर्गाने दीन सिलसिला-ए-क़ादिरिया बिलख़ुसूस पिराने पीर दस्तगीर हुज़ूर ग़ौस-ए-आज़म शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रादिअल्लाहु त'आला अन्हू के फ़ैज़ से क़िताब बहार-ए-शरीअत (हिस्सा 01 से 10) हिंदी में पीडीएफ [PDF] में आप की खिदमत में पेश की जा रही है।

ज़माना-ए- क़दीम से अवमुन्नास की इस्लाहे हाल और हिदायते उख़रवी व दुनयवी के लिए हक़ सदाक़त के जाम की फ़राहमी की जाती रही हैं और ये इलतेज़ाम ख़ालिक़-ए-क़ायनात जल्ला जलालहु ने ब अहसान अपनी मख़लूक़ के लिए फ़रमाया है। अम्बिया व मुर्सलीन के बेहतरीन दौर के बाद उसने यह ख़िदमत अपने मुक़र्रबीन रिज़वानुल्लाह त'आला अलैहिम अजमईन के सुपुर्द की और यह सिलसिला अला हालही जारी व सारि है।

मज़हब-ए-इस्लाम अल्लाह त'आला का पसंदीदा दीन है। जिंदगी का कोई ऐसा शोबा नही जिसके लिए इस्लाम ने हमे क़ानून न दिया हो।

आज जिस दौर से हम गुज़र रहे है हमारा मुस्लिम तबका उर्दू की तरफ ध्यान नही दे रहा है और नई नस्ल तो बिल्कुल ही उर्दू से नावाक़िफ़ होती जा रही है। नतीजे के तौर पर दीनी और मज़हबी दिलचस्पियाँ कम हो रही है और हम अपने हाल को ग़ैर मुंज़बित तरीके पे छोड़े रहते है।

लिहाज़ा ये किताब हिंदी में लिखी गई है और आप सब की आसानी के लिए हम ने इस किताब को पीडीएफ फ़ाइल में आप की ख़िदमत में पेश किया है।
आप सब से हमारी गुज़ारिश है कि अपनी मसरूफ ज़िन्दगी में से रोज़ाना वक़्त निकाल कर बुज़ुर्गो की तस्नीफ़ करदा किताबो को मुताला में रखें, इंशा अल्लाह त'आला दीन और दुनिया दोनो में मक़बूल होंगे।

दुआओं के तलबगार

वसीम अहमद रज़ा खान और साथी
+91-8109613336

मसअ्ला :— मुक़तदी को यह जाइज़ नहीं कि बैठा रहे जब इमाम रुकू करने को हो तो खड़ा हो जाये कि यह मुनाफ़िक़ों से मुशाबहत है यानी मुनाफ़िक़ों का तरीक़ा है। अल्लाह तआ़ला इरशाद फ़रमाता है :— اِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ط—

तर्जमा :— "मुनाफ़िक़ जब नमाज़ को खड़े होते हैं तो थके जी से।" (ग़ुनिया वग़ैरा)

मसअ्ला :— इमाम से ग़लती हुई कोई सूरत या आयत छूट गई तो मुस्तहब यह है कि उसे पहले पढ़कर फिर आगे पढ़े। (आलमगीरी)

मसअ्ला :— दो रकअ़त पर बैठना भूल गया और खड़ा हो गया तो जब तक तीसरी का सजदा न किया हो बैठ जाये ओर सजदा कर लिया हो तो चार पूरी करे मगर यह दो शुमार की जायेंगी और जो दो पर बैठ चुका है तो चार हुईं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :— तीन रकअ़त पढ़ कर सलाम फेरा अगर दूसरी पर बैठा न था तो न हुई इनके बदले की दो रकअ़त फिर पढ़े।

मसअ्ला :— क़अ़दे में मुक़तदी सो गया इमाम सलाम फेरकर और दो रकअ़त पढ़कर क़अ़दे में आया अब यह बेदार हुआ तो अगर मालूम हो गया तो सलाम फेर कर शामिल हो जाये और इमाम के सलाम फेरने के बाद जल्द पूरी कर के इमाम के साथ हो जाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला :— वित्र पढ़ने के बाद लोगों को याद आया कि दो रकअ़तें रह गयीं तो जमाअ़त से पढ़ लें और आज याद आया कि कल दो रकअ़तें रह गई थीं तो जमाअ़त से पढ़ना मकरूह है।(आलमगीरी)

मसअ्ला :— सलाम फेरने के बाद कोई कहता है दो हुईं कोई कहता है तीन तो इमाम के इल्म में जो हो उसका एअ्तिबार है,और इमाम को किसी बात का यक़ीन न हो तो जिस को सच्चा जानता हो कि उसके क़ौल का एअ्तिबार करे और अगर इसमें लोगों को शक हो कि बीस हुईं या अट्ठारह तो दो रकअ़त तन्हा—तन्हा पढ़ें। (आलमगीरी)

मसअ्ला :— अगर किसी वजह से नमाज़े तरावीह फ़ासिद हो जाये तो जितना क़ुर्आन मजीद इन रकअ़तों में पढ़ा है उसे दोबारा पढ़ें ताकि ख़त्म में नुक़सान न रहे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :— अगर किसी वजह से ख़त्म न हो तो सूरतों की तरावीह पढ़ें और इसके लिए बाज़ों ने यह तरीक़ा रखा है कि اَلَمْ تَرَ كَيْفَ से आख़िर तक दो बार पढ़ने में बीस रकअ़तें हो जायेंगी।(आलमगीरी)

मसअ्ला :— एक बार بِسْمِ اللّٰهِ शरीफ़ जहर यानी आवाज़से पढ़ना सुन्नत है और हर सूरत की इब्तिदा में आहिस्ता पढ़ना मुस्तहब और यह जो आजकल बअ़ज़ जाहिलों ने निकाला है कि एक सौ चौदह बार بِسْمِ اللّٰه जहर से पढ़ी जाये वर्ना ख़त्म न होगा मज़हबे हनफ़ी में बेअस्ल है।

मसअ्ला :— मुतअख़्ख़िरीन(बाद वाले उ़लमा)ने ख़त्मे तरावीह में तीन बार قُلْ هُوَ اللّٰه पढ़ना मुस्तहब कहा और बेहतर यह कि ख़त्म के दिन पिछली रकअ़त में الٓمّٓ से مُفْلِحُوْنَ٥ तक पढ़े।

मसअ्ला :— शबीना कि एक रात की तरावीह में पूरा क़ुर्आन पढ़ा जाता है जिस तरह आजकल रिवाज है कि कोई बैठा बातें कर रहा है,कुछ लोग चाय पीने में मशग़ूल हैं ,कुछ लोग मस्जिद से बाहर हुक़्क़ानोशी कर रहे हैं और जब जी में आया एक आध रकअ़त में शामिल भी हुए यह नाजाइज़ है।

फ़ायदा : — हमारे इमामे आज़म रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु रमज़ान शरीफ़ में इकसठ ख़त्म किया करते थे तीस दिन में और तीस रात में और एक तरावीह में और पैंतालीस बरस इशा के वुज़ू से नमाज़े फ़ज्र पढ़ी है।

मुनफ़रिद का फ़र्ज़ों की जमाअत पाना

इसामे मालिक व नसई रिवायत करते हैं कि एक सहाबी महजन नामी रदियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ एक मज्लिस में हाज़िर थे अज़ान हुई हुज़ूर खड़े हुए और नमाज़ पढ़ी वह बैठे रह गये। इरशाद फ़रमाया जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने से किस चीज़ ने रोका ? क्या तुम मुसलमान नहीं हो ? अर्ज़ की या रसूलल्लाह! हूँ तो मगर मैंने घर पर पढ़ ली थी। इरशाद फ़रमाया जब नमाज़ पढ़कर मस्जिद में आओ और नमाज़ क़ाइम की जाये तो लोगों के साथ पढ़ लो अगर्चे पढ़ चुके हो। इसी के मिस्ल यज़ीद इब्ने आमिर रदियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़िआ है जो अबू दाऊद में मरवी है। इमामे मालिक ने रिवायत की अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा फ़रमाते हैं जो मग़रिब या सुबह की नमाज़ पढ़ चुका है फिर जब इमाम के साथ पाये इआदा न करे।

मसअ्ला :– तन्हा फ़र्ज़ नमाज़ शुरू ही की थी यअ्नी अभी पहली रकअ्त का सजदा न किया था कि जमाअत क़ाइम हुई तो तोड़ कर जमाअत में शामिल हो जाये। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– फ़ज्र या मग़रिब की नमाज़ एक रकअ्त पढ़ चुका था कि जमाअत क़ाइम हुई फ़ौरन नमाज़ तोड़ कर जमाअत में शामिल हो जाये अगर्चे दूसरी रकअ्त पढ़ रहा हो अलबत्ता दूसरी रकअ्त का सजदा कर लेता तो अब इन दो नमाज़ों में तोड़ने की इजाज़त नहीं और नमाज़ पूरी करने के बाद नफ़्ल की नियत से भी इनमें शरीक नहीं हो सकता कि तीन रकअ्तें नफ़्ल की नहीं और मग़रिब में अगर शामिल हो गया तो बुरा किया,इमाम फेरने के बाद एक रकअ्त और मिलाकर चार करे और अगर इमाम के साथ सलाम फेर दिया तो नमाज़ फ़ासिद हो गई चार रकअ्त क़ज़ा करे। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– मग़रिब पढ़ने वाले के पीछे नफ़्ल की नियत से शामिल हो गया इमाम ने चौथी रकअ्त को तीसरी गुमान किया और खड़ा हो गया इस मुक़तदी ने उसका इत्तिबा किया इसकी नमाज़ फ़ासिद हो गई तीसरी पर इमाम ने क़अ्दा किया हो या नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– चार रकअ्त वाली नमाज़ शुरू कर के एक रकअ्त पढ़ ली यअ्नी पहली रकअ्त का सजदा कर लिया तो वाजिब है कि एक रकअ्त और पढ़कर तोड़ दे कि यह दो रकअ्तें नफ़्ल हो जायें और दो पढ़ ली हैं तो अभी तोड़ दे यानी तशह्हुद पढ़ कर सलाम फेर दे और तीन पढ़ ली हैं तो वाजिब है कि न तोड़े, तोड़ेगा तो गुनाहगार होगा बल्कि हुक्म है कि पूरी कर के नफ़्ल की नियत से जमाअत में शामिल हो जमाअत का सवाब पा लेगा मगर अस्र में शामिल नहीं हो सकता कि अस्र के बाद नफ़्ल जाइज़ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जमाअत क़ाइम होने से मुअज़्ज़िन का तकबीर कहना मुराद नहीं बल्कि जमाअत शुरू हो जाना मुराद है। मुअज़्ज़िन के तकबीर कहने से क़ता न करेगा यानी नमाज़ न तोड़ेगा अगर्चे पहली रकअ्त का अभी सजदा न किया हो। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जमाअत क़ाइम होने से नमाज़ क़ता करना उस वक़्त है कि जिस मक़ाम पर यह नमाज़ पढ़ता हो वहीं जमाअत क़ाइम हुई या एक मस्जिद में यह पढ़ता है दूसरी मस्जिद में जमाअत

काइम हुई तो तोड़ने का हुक्म नहीं अगर्चे पहली रकअ़त का सजदा न किया हो। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– नफ़्ल शुरूअ् किये थे और जमाअ़त काइम हुई तो कता न करे (यानी न तोड़े)बल्कि दो रकअ़त पूरी करे अगर्चे पहली का सजदा भी न किया हो और तीसरी पढ़ता हो तो चार पूरी करे। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअला :– जुमे और ज़ोहर की सुन्नतें पढ़ने में खुतबा या जमाअ़त शुरूअ् हुई तो चार पूरी करे।

मसअला :– सुन्नत या क़ज़ा नमाज़ शुरूअ् की और जमाअ़त काइम हुई तो पूरी कर के शामिल हो। हाँ जो क़ज़ा शुरू की अगर बिल्कुल उसी क़ज़ा के लिए जमाअ़त क़ाइम हुई तोड़ कर शामिल हो जाये। (रद्दुलमुहतार)

मसअला :– नमाज़ तोड़ना बग़ैर उ़ज़्र हो तो ह़राम है और माल के तलफ़ यानी नुकसान या चोरी हो जाने का अंदेशा हो तो मुबाह़ और कामिल करने के लिए हो तो मुस्तह़ब और जान बचाने के लिए हो तो वाजिब।

मसअला :– नमाज़ तोड़ने के लिए बैठने की ह़ाजत नहीं खड़ा–खड़ा एक त़रफ़ सलाम फेरकर तोड दे।

मसअला :– जिस शख़्स ने नमाज़ न पढ़ी हो उसे मस्जिद से अज़ान के बाद निकलना मकरूहे तह़रीमी है। इब्ने माजा उ़समान रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया अज़ान के बाद जो मस्जिद से चला गया और किसी ह़ाजत के लिए नहीं गया और न वापस होने का इरादा है वह मुनाफ़िक़ है। इमाम बुख़ारी के अ़लावा जमाअ़ते मुहद्दिसीन ने रिवायत की कि अबू शअ्शा कहते हैं हम अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के साथ मस्जिद में थे जब मुअज़्ज़िन ने अ़स्र की अज़ान कही उस वक़्त एक शख़्स चला गया उस पर फ़रमाया कि उस ने अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की नाफ़रमानी की।(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

अज़ान के बाद मस्जिद से बाहर जाने के मसाइल

मसअला :– अज़ान से मुराद नमाज़ का वक़्त हो जाना है ख़्वाह अभी अज़ान हुई हो या नहीं।

मसअला :– जो शख़्स किसी दूसरी मस्जिद की जमाअ़त का मुन्तज़िम हो मसलन इमाम या मुअज़्ज़िन हो कि उसके होने से सब लोग होते हैं वर्ना मुतफ़र्रिक़ (अलग–अलग)हो जाते हैं ऐसे शख़्स को इजाज़त है कि वहाँ से अपनी मस्जिद चला जाये अगर्चे यहाँ इक़ामत भी शुरूअ् हो गई हो मगर जिस मस्जिद का मुअज़्ज़िन है अगर वहाँ जमाअ़त हो चुकी तो अब यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– सबक़ याद है तो यहाँ से अपने उस्ताद की मस्जिद को जा सकता है या कोई ज़रूरत हो और वापस होने का इरादा हो तो भी जाने की इजाज़त है जब कि ज़न्ने ग़ालिब हो यानी ज़्यादा ख़्याल हो कि जमाअ़त से पहले वापस आ जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– जिसने ज़ोहर या इशा की नमाज़ तन्हा पढ़ी हो उसे मस्जिद से चले जाने की मनाही उस वक़्त है कि इक़ामत शुरूअ् हो गई तो हुक्म है कि जमाअ़त में नफ़्ल की नियत से शरीक हो जाये और मग़रिब व फ़ज्र व अ़स्र में उसे हुक्म है कि मस्जिद से बाहर चला जाये जबकि पढ़ ली हो। (दुर्रेमुख़्तार)

इमाम की मुख़ालिफ़त करने और जमाअ़त में शामिल होने के मसाइल

मसअ्ला :– मुक़तदी ने दो सजदे किये और इमाम अभी पहले ही में था तो दूसरा सजदा न हुआ।

मसअ्ला :– चार रकअ़त वाली नमाज़ जिसे एक रकअ़त इमाम के साथ मिली तो उसने जमाअ़त न पाई,हाँ जमाअ़त का सवाब मिलेगा अगर्चे क़ादा अख़ीरा में शामिल हुआ हो बल्कि जिसे तीन रकअ़तें मिलीं उसने भी जमाअ़त न पाई जमाअ़त का सवाब मिलेगा मगर जिस की कोई रकअ़त जाती रही उसे इतना सवाब न मिलेगा जितना अव्वल से शरीक होने वाले को है । इस मसअले का हासिल यह है कि किसी ने क़सम खाई फ़लाँ नमाज़ जमाअ़त से पढ़ेगा और रकअ़त जाती रही तो क़सम टूट गई कफ़्फ़ारा देना होगा तीन और दो रकअ़त वाली नमाज़ में भी एक रकअ़त न मिली तो जमाअ़त न मिली और लाहिक़ (जिसकी बीच की एक या ज़्यादा रकअ़त छुटी हों)का हुक्म पूरी जमाअ़त पाने वाले का है। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– इमाम रुकूअ़ में था किसी ने उसकी इक़्तिदा की और खड़ा रहा यहाँ तक कि इमाम ने सर उठा लिया तो वह रकअ़त नहीं मिली। लिहाज़ा इमाम के फ़ारिग़ होने के बअ़द उस रकअ़त को पढ़ ले और अगर इमाम को क़ियाम में पाया और उसके साथ रुकूअ़ में शरीक न हुआ तो पहले रुकूअ़ कर ले फिर और आफ़आल यानी और सारे काम इमाम के साथ करे और अगर पहले रकूअ़ न किया बल्कि इमाम के साथ हो लिया फिर इमाम के फ़ारिग़ होने के बअ़द रूकूअ़ किया तो भी हो जायेगी मगर वाजिब के तर्क का गुनाह हुआ। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :– इसके रुकूअ़ करने से पहले इमाम ने सर उठा लिया कि इसे रकअ़त न मिली तो इस सूरत में नमाज़ तोड़ भी देना जाइज़ नहीं जैसा कि बाज़ जाहिल करते हैं बल्कि इस पर वाजिब है कि सजदे में इमाम की मुताबअ़त पैरवी करे अगर्चे यह सजदे रकअ़त में शुमार न होंगे। यूँही अगर सजदे में मिला जब भी साथ दे फिर भी अगर सजदे न किये तो नमाज़ फ़ासिद न होगी यहाँ तक कि अगर इमाम के सलाम के बअ़द इसने अपनी रकअ़त पढ़ ली नमाज़ हो गई मगर तर्के वाजिब का गुनाह हुआ।

मसअ्ला :– इमाम से पहले रुकूअ़ किया मगर उस के सर उठाने से पहले इमाम ने भी रुकूअ़ किया तो रुकू हो गया बशर्ते कि इसने उस वक़्त रुकू किया हो कि इमाम बक़द्रे फ़र्ज़ क़िरात कर चुका हो वर्ना रुकू न हुआ और इस सूरत में इमाम के साथ या बअ़द अगर दोबारा रुकूअ़ करेगा हो जायेगी वर्ना नमाज़ जाती रही और इमाम से पहले रुकूअ़ ख़्वाह कोई रुक्न अदा करने में था और यह तकबीर कह कर झुका था कि इमाम खड़ा हो गया तो अगर हद्दे रुकूअ़ में शरीक हो गया अगर्चे क़लील (थोड़ा ही) तो रकअ़त मिल गई। (आलमगीरी)मुक़तदी ने तमाम रकअ़तों में रुकूअ़ व सुजूद इमाम से पहले किया तो सलाम के बाद ज़रूरी है कि एक रकअ़त बग़ैर क़िरात पढ़े और न पढ़ी तो नमाज़ न हुई और अगर इमाम के बाद रूकूअ़ व सुजूद किया तो नमाज़ हो गई और अगर रुकूअ़ पहले किया और सजदा साथ–साथ तो चारों रकअ़तें बग़ैर क़िरात पढ़े और अगर रुकूअ़ साथ किया और सजदा पहले तो दो रकअ़त बाद में पढ़े। (आलमगीरी)

क़ज़ा नामज़ का बयान

हदीस न.1 :— ग़ज़वए ख़न्दक़ में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम की चार नमाज़ मुशरिकीन की वजह से जाती रहीं यहाँ तक कि रात का कुछ हिस्सा चला गया। बिलाल रदियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म फ़रमाया, उन्होंने अज़ान व इक़ामत कही। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी फिर इक़ामत कही तो अ़स्र की पढ़ी फिर इक़ामत कही तो मग़रिब की पढ़ी फिर इक़ामत कही तो इ़शा की पढ़ी।

हदीस न.2 :— इमाम अहमद ने अबी जुमआ़ हबीब इब्ने सब्बाअ़ से रिवायत की कि ग़ज़वए अहज़ाब में मग़रिब की नमाज़ पढ़ कर फ़ारिग़ हुए तो फ़रमाया किसी को मअ़लूम है मैंने अ़स्र की नमाज़ पढ़ी है? लोगों ने अ़र्ज़ की नहीं पढ़ी। मुअज़्ज़िन को हुक्म फ़रमाया उसने इक़ामत कही। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने अ़स्र की नमाज़ पढ़ी फिर मग़रिब का इआ़दा किया यानी दोबारा पढ़ी। तबरानी व बैहक़ी इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआला अन्हुम से रावी फ़रमाया जो शख़्स किसी नमाज़ को भूल जाये और याद उस वक़्त आये कि इमाम के साथ हो तो पूरी करे फिर भूली हुई पढ़े फिर उसको पढ़े जिस को इमाम के साथ पढ़ा। सही बुख़ारी मुस्लिम में है कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम जो नमाज़ से सो जाये या भूल जाये तो जब याद आये पढ़ ले कि वही उसका वक़्त है। सही मुस्लिम की रिवायत में यह भी है कि सोते में (अगर नमाज़ जाती रही) तो क़ुसूर नहीं क़ुसूर तो बेदारी में है।

मसअ्ला :— बिला उ़ज़्रे शरई नमाज़ क़ज़ा कर देना बहुत सख़्त गुनाह है उस पर फ़र्ज़ है कि उसकी क़ज़ा पढ़े और सच्चे दिल से तौबा करे। तौबा या हज्जे मक़बूल से गुनाह माफ़ हो जायेगा।

मसअ्ला :— तौबा जब ही सही है कि क़ज़ा पढ़ ले उसको तो अदा न करे तौबा किये जाये यह तौबा नहीं कि वह नमाज़ जो उसके ज़िम्मे थी उसका न पढ़ना तो अब भी बाक़ी है और जब गुनाह से बाज़ न आया तौबा कहाँ हुई। (दुर्रेमुख़्तार) हदीस में फरमाया गुनाह पर क़ाइम रहकर इस्तिग़फ़ार करने वाला उसके मिस्ल है जो अपने रब से ठट्ठा करता है।

नमाज़ क़ज़ा करने के उ़ज़्र

मसअ्ला :— दुश्मन का ख़ौफ़ नमाज़ क़ज़ा कर देने के लिए उ़ज़्र है। मसलन मुसाफ़िर को चोर और डाकूओं का सही अंदेशा है तो इसकी वजह से वक़्ती नमाज़ क़ज़ा कर सकता है बशर्ते कि किसी तरह नमाज़ पढ़ने पर क़ादिर न हो और अगर सवार है और सवारी पर पढ़ सकता है अगर्चे चलने ही की हालत में या बैठ कर पढ़ सकता है तो उ़ज़्र न हुआ, यूँही अगर क़िब्ले को मुँह करता है तो दुश्मन का सामना होता है तो जिस रूख़ बन पड़े पढ़ ले हो जायेगी वर्ना नमाज़ क़ज़ा करने का गुनाह हुआ। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :— जनाई (दाई) नमाज़ पढ़ेगी तो बच्चे के मर जाने का अंदेशा है नमाज़ क़ज़ा करने के लिए यह उ़ज़्र है। बच्चे का सर बाहर आ गया और निफ़ास से पहले वक़्त ख़त्म हो जायेगा तो इस हालत में भी माँ पर नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है ,न पढ़ेगी गुनाहगार होगी। किसी बर्तन में बच्चे का सर रख कर जिससे उसको सदमा न पहुँचे नमाज़ पढ़े मगर इस तरकीब से पढ़ने में भी बच्चे के मर जाने का अंदेशा हो तो ताख़ीर (देर) मुआफ़ है निफ़ास ख़त्म हो जाने के बाद इस नमाज़ की क़ज़ा पढ़े (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जिस चीज़ का बन्दों पर हुक्म है उसे वक़्त पर बजा लाने को अदा कहते हैं और वक़्त के बाद अमल में लाना क़ज़ा है और उस हुक्म में बजा लाने में कोई ख़राबी पैदा हो जाये तो दोबारा वह ख़राबी दफ़ा करने के लिए करना इआ़दा है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :– वक़्त में अगर तहरीमा बाँध लिया नमाज़ क़ज़ा न हुई बल्कि अदा है (दुर्रे मुख़्तार)मगर नमाज़े फ़ज्र व जुमा व ईदैन की इनमें सलाम से पहले भी अगर वक़्त निकल गया नमाज़ जाती रही

मसअ्ला :– सोते में या भूल से नमाज़ क़ज़ा हो गई तो उसकी क़ज़ा पढ़नी फ़र्ज़ है अलबत्ता क़ज़ा का गुनाह उस पर नहीं मगर बेदार होने और याद आने पर अगर वक़्ते मकरूह न हो तो उस वक़्त पढ़ ले ताख़ीर (देर करना) मकरूह है कि हदीस में इरशाद फ़रमाया नमाज़ से भूल जाये या सो जाये तो याद आने पर पढ़ ले कि वही उसका वक़्त है। (आ़लमगीरी वग़ैरा) मगर दुख़ूले वक़्त के बाद (यानी वक़्त शुरू होने के बाद) सो गया फिर वक़्त निकल गया तो क़तअ़न गुनहगार हुआ जबकि जागने पर सही एअ़्तिमाद न हो या जगाने वाला मौजूद न हो बल्कि फ़ज्र में दुख़ूले वक़्त से पहले भी सोने की इजाज़त नहीं हो सकती जबकि अक्सर हिस्सा रात का जागने में गुज़रा और ज़न है (यानी ग़ालिब गुमान है)कि अब सो गया तो वक़्त में आँख न खुलेगी तो भी सोने की इजाज़त नहीं।

मसअ्ला :– कोई सो रहा है या नमाज़ पढ़ना भूल गया तो जिसे मालूम हो उस पर वाजिब है कि सोते को जगा दे और भूले हुए को याद दिला दे। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जब यह अंदेशा हो कि सुबह की नमाज़ जाती रहेगी तो बिला ज़रूरत शरइय्या उसे रात देर तक जागना मना है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– फ़र्ज़ की क़ज़ा फ़र्ज़ है और वाजिब की क़ज़ा वाजिब और सुन्नत की क़ज़ा सुन्नत यानी वह सुन्नतें जिनकी क़ज़ा है मसलन फ़ज्र की सुन्नतें जबकि फ़र्ज़ भी फ़ौत हो गया हो और ज़ोहर की पहली सुन्नतें जबकि ज़ोहर का वक़्त बाक़ी हो। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– क़ज़ा के लिए कोई वक़्त मुअ़य्यन (मुक़र्रर)नहीं। उम्र में जब भी पढ़ेगा बरीउज़्ज़िम्मा हो जायेगा। तुलू व ग़ुरूब और ज़वाल के वक़्त कि इन तीन वक़्तों में नमाज़ जाइज़ नहीं। यानी इन तीन वक़्तों के अलावा उम्र में किसी भी नमाज़ की क़ज़ा किसी भी वक़्त पढ़ सकता है (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– मजनून (पागल) की हालते जुनून (पगलई)में जो नमाज़ें फ़ौत हुईं अच्छे होने के बाद उनकी क़ज़ा वाजिब नहीं जबकि जुनून नमाज़ के छह वक़्ते कामिल तक (यानी पूरे छः वक़्त)जुनून बराबर रहा हो। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– जो शख़्स मआज़ल्लाह मुरतद हो गया फिर इस्लाम लाया तो ज़मानए इर्तेदाद (इस्लाम से फिर जाने के ज़माना)की नमाज़ों की क़ज़ा नहीं और मुर्तद होने से पहले ज़मानए इस्लाम में जो नमाज़ें जाती रही थीं उनकी क़ज़ा वाजिब है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– दारुलहरब में कोई शख़्स मुसलमान हुआ और अहकामे शरीअ़त यानी नमाज़,रोज़ा ज़कात वग़ैरा की उसको इत्तिलाअ़ न हुई तो जब तक वहाँ रहा उन दिनों की क़ज़ा उस पर वाजिब नहीं और जब दारुल इस्लाम में आ गया तो अब जो नमाज़ क़ज़ा होगी उसे पढ़ना फ़र्ज़ है कि दारुलइस्लाम में अहकाम का न जानना उज़्र नहीं और किसी एक शख़्स ने भी उसे नमाज़ फ़र्ज़

होने की इत्तिलाअ़ दे दी अगर्चे फ़ासिक़ या बच्चा या औरत या गुलाम ने तो अब जितनी न पढ़ेगा उनकी क़ज़ा वाजिब है। दारुल इस्लाम में मुसलमान हुआ तो जो नमाज़ें फ़ौत हुईं उसकी क़ज़ा वाजिब है अगर्चे कहे कि मुझे इसका इल्म न था (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– ऐसा मरीज़ कि इशारे से भी नमाज़ नहीं पढ़ सकता अगर यह हालत पूरे छः वक़्त तक रही तो इस हालत में जो नमाज़ें फ़ौत हुईं उनकी क़ज़ा वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– जो नमाज़ जैसी फ़ौत हुई उसकी क़ज़ा वैसी ही पढ़ी जायेगी मसलन सफ़र में नमाज़ क़ज़ा हुई तो चार रकअ़त वाली दो ही पढ़ी जायेंगी अगर्चे इक़ामत की हालत में पढ़े और हालते इक़ामत में फ़ौत हुई तो चार रकअ़त वाली की क़ज़ा चार रकअ़त हैं अगर्चे सफ़र में पढ़े। अलबत्ता क़ज़ा पढ़ने के वक़्त कोई उ़ज़्र है तो उसका एअ़तिबार किया जायेगा मसलन जिस वक़्त फ़ौत हुई थी उस वक़्त खड़ा होकर पढ़ सकता था और अब क़ियाम नहीं कर सकता तो बैठ कर पढ़े या इस वक़्त इशारे ही से पढ़ सकता है तो इशारे से पढ़े और सेह़त के बाद उसका इआ़दा नहीं।(आलमगीरी)

मसअला :– लड़की इशा की नमाज़ पढ़ कर या बे पढ़े सोई आँख खुली तो मअ़लूम हुआ कि पहला हैज़ आया तो उस पर वह इशा फ़र्ज़ नहीं और एहतिलाम में बालिग़ हुई तो उसका हुक्म वह है जो लड़के का है पौ फटने से पहले आँख खुली तो उस वक़्त की नमाज़ फ़र्ज़ है अगर्चे पढ़ कर सोई और पौ फटने के बाद आँख खुली तो इशा की नमाज़ लौटाये और उ़म्र से बालिग़ हुई या़नी उसकी उ़म्र पूरे पन्द्रह साल की हो गई तो जिस वक़्त पूरे पन्द्रह साल की हुई उस वक़्त की नमाज़ उस पर फ़र्ज़ है अगर्चे पहले पढ़ चुकी हो। (आलमगीरी वग़ैरा)

क़ज़ा नमाज़ों में तरतीब वाजिब है

मसअला :– पाँचों फ़र्ज़ों में बाहम (या़नी आपस में) और फ़र्ज़ व वित्र में तरतीब ज़रूरी है कि पहले फ़ज्र फिर ज़ोहर फिर अ़स्र फिर मग़रिब फिर इशा फिर वित्र पढ़े ख़्वाह यह सब क़ज़ा हों या बअ़ज़ (कुछ) अदा बाज़ क़ज़ा मसलन ज़ोहर की क़ज़ा हो गई तो फ़र्ज़ है कि इसे पढ़कर अ़स्र पढ़े या वित्र क़ज़ा हो गया तो उसे पढ़कर फ़ज्र पढ़े अगर याद होते हुए अ़स्र या फ़ज्र की पढ़ ली तो नाजाइज़ है। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला :– अगर वक़्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि वक़्ती और क़ज़ायें सब पढ़ ले तो वक़्ती और क़ज़ा नमाज़ों में जिस की गुंजाइश हो पढ़े बाक़ी में तरतीब साक़ित है मसलन इशा व वित्र क़ज़ा हो गये और फ़ज्र के वक़्त में पाँच रकअ़त की गुंजाइश है तो वित्र व फ़ज्र पढ़े और छह रकअ़त की वुसअ़त है तो इशा व फ़ज्र पढ़े। (शरहे वक़ाया)

मसअला :– तरतीब के लिए मुतलक़ वक़्त का एअ़तिबार है मुस्तहब वक़्त होने की ज़रूरत नहीं तो जिसकी ज़ोहर की नमाज़ क़ज़ा हो गई और आफ़ताब ज़र्द होने से पहले ज़ोहर से फ़ारिग़ नहीं हो सकता मगर आफ़ताब डूबने से पहले दोनों पढ़ सकता है तो ज़ोहर पढ़े फिर अ़स्र। (रद्दुलमुहतार)

मसअला :– अगर वक़्त में इतनी गुन्जाइश है कि मुख़्तसर तौर पर पढ़े तो दोनों पढ़ सकता है और उ़मदा त़रीक़े से पढ़े तो दोनों नमाज़ों की गुंजाइश नहीं तो इस सूरत में भी तरतीब फ़र्ज़ है और बक़द्रे जवाज़ जहाँ तक इख़्तिसार कर सकता है करे। (आलमगीरी)

मसअला :– वक़्त की तंगी से तरतीब साक़ित होना उस वक़्त है कि शुरूअ़ करते वक़्त, वक़्त तंग

हो अगर शुरूअ् करते वक़्त गुन्जाइश थी और यह याद था इस वक़्त से पहले की नमाज़ क़ज़ा हो गई है और नमाज़ में तूल दिया (बढ़ाया) कि अब वक़्त तंग हो गया तो यह नमाज़ न होगी हाँ अगर तोड़ कर फिर से पढ़े तो हो जायेगी और अगर क़ज़ा नमाज़ याद न थी और वक़्ती नमाज़ में तूल दिया कि वक़्त तंग हो गया अब याद आ गई तो हो गई,क़ता न करे यानी तोड़े नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– वक़्त तंग होने न होने में इसके गुमान का एअ्तिबार नहीं बल्कि यह देखा जायेगा कि हक़ीक़तन वक़्त तंग था या नहीं मसलन जिसकी नमाज़े इशा क़ज़ा हो गई और फ़ज्र का वक़्त तंग होना गुमान कर के फ़ज्र की पढ़ ली फिर यह मअ्लूम हुआ कि वक़्त तंग न था तो नमाज़े फ़ज्र न हुई अब अगर दोनों की गुन्जाइश हो तो इशा पढ़कर फिर फ़ज्र पढ़े वर्ना फ़ज्र पढ़ ले। अगर दो बारा फिर ग़लती मालूम हुई तो वही हुक्म है यानी दोनों पढ़ सकता है तो दोनों पढ़े वर्ना सिर्फ़ फ़ज्र पढ़े और अगर फ़ज्र को न लौटाया इशा पढ़ने लगा और बक़द्रे तशहहुद बैठने न पाया था कि आफ़ताब निकल आया तो फ़ज्र की नमाज़ जो पढ़ी थी हो गई। यूँ ही अगर फ़ज्र की नमाज़ क़ज़ा हो गई और ज़ोहर के वक़्त में दोनों नमाज़ों की गुन्जाइश उसके गुमान में नहीं है और ज़ोहर पढ़ ली फिर मअ्लूम हुआ कि गुन्जाइश है तो ज़ोहर न हुई फ़ज्र पढ़ कर ज़ोहर पढ़े यहाँ तक कि अगर फ़ज्र पढ़ कर ज़ोहर की एक रकअ्त पढ़ सकता है तो फ़ज्र पढ़कर ज़ोहर शुरूअ् करे।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– जुमे के दिन फ़ज्र की नमाज़ क़ज़ा हो गई अगर फ़ज्र पढ़ कर जुमे में शरीक हो सकता है तो फ़र्ज़ है कि पहले फ़ज्र पढ़े अगर्चे ख़ुतबा होता हो और अगर जुमा न मिलेगा मगर ज़ोहर का वक़्त बाक़ी रहेगा जब भी फ़ज्र पढ़ कर ज़ोहर पढ़े और अगर ऐसा है कि फ़ज्र पढ़ने में जुमा भी जाता रहेगा और जुमे के साथ वक़्त भी ख़त्म हो जायेगा तो जुमा पढ़ ले फिर फ़ज्र पढ़े इस सूरत में तरतीब साक़ित है यानी अब तरतीब की ज़रूरत नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर वक़्त की तंगी के सबब तरतीब साक़ित हो गई और वक़्ती नमाज़ पढ़ रहा था कि इसी बीच नमाज़ ही में वक़्त ख़त्म हो गया तो तरतीब औद न करेगी यानी वक़्ती नमाज़ हो गई। (आलमगीरी) मगर फ़ज्र व जुमे में कि वक़्त निकल जाने से यह ख़ुद ही नहीं हुई।

मसअ्ला :– क़ज़ा नमाज़ याद न रही और वक़्तिया (यानी जिस नमाज़ का वक़्त था) पढ़ ली,पढ़ने के बअ्द याद आई तो वक़्तिया हो गई और पढ़ने में याद आई तो गई।

मसअ्ला :– अपने को बा वुज़ू गुमान कर के ज़ोहर पढ़ी फिर वुज़ू करके अस्र पढ़ी फिर मालूम हुआ कि ज़ोहर में वुज़ू न था तो अस्र की हो गई सिर्फ़ ज़ोहर को लौटाये।-(आलमगीरी)

मसअ्ला :– फ़ज्र की नमाज़ क़ज़ा हो गई और याद होते हुए ज़ोहर की पढ़ ली फिर फ़ज्र की पढ़ ली तो ज़ोहर की न हुई। अस्र पढ़ते वक़्त ज़ोहर की याद थी मगर अपने गुमान में ज़ोहर को जाइज़ समझा था तो अस्र की हो गई। ग़रज़ यह है कि फ़र्ज़ियत की तरतीब से जो नावाक़िफ़ है उसका हुक्म भूलने वाले की मिस्ल है कि उसकी नमाज़ हो जायेगी। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– छः नमाज़ें जबकि क़ज़ा हो गईं कि छटी का वक़्त ख़त्म हो गया उस पर तरतीब फ़र्ज़ नहीं। अब अगर्चे बावुजूद वक़्त की गुंजाइश और याद के वक़्ती पढ़ेगा हो जायेगी ख़्वाह वह सब एक साथ क़ज़ा हुईं मसलन एक दम से छः वक़्तों की न पढ़ीं या मुतफ़र्रिक़ तौर पर क़ज़ा हुई(यानी अलग –अलग दिनों या वक़्तों में)मसलन छह दिन फ़ज्र की नमाज़ न पढ़ी और बाक़ी नमाज़ें पढ़ता रहा

मगर इनके पढ़ते वक़्त वह क़ज़ायें भूला हुआ था ख़्वाह वह सब पुरानी हों या बाज़ (कुछ)नई और बाज़ पुरानी मसलन एक महीने की नमाज़ न पढ़ी फिर पढ़नी शुरू की फिर एक वक़्त की क़ज़ा हो गई तो उसके बाद की नमाज़ हो जायेगी अगर्चे इसका क़ज़ा होना याद हो।(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :— जब छः नमाजें क़ज़ा होने के सबब तरतीब साक़ित हो गई तो उन में से अगर बअ्ज़ पढ़ली कि छः से कम रह गई तो वह तरतीब औद न करेगी यानी अगर उन में से दो बाक़ी हों तो बावुजूद याद के वक़्ती नमाज़ हो जायेगी अलत्ता अगर सब क़ज़ाएं पढ़लीं तो अब फिर साहिबे तरतीब हो गया कि अब अगर कोई नमाज़ क़ज़ा हो तो गुज़री हुई शर्तों के साथ उसे पढ़े वर्ना न होगी।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— यूँहीं अगर भूलने या वक़्त की तंगी के सबब तरतीब साक़ित हो गई तो वह भी औद न करेगी यानी अब तरतीब का हुक्म फिर नहीं होगा मसलन भूल कर नमाज़ पढ़ ली अब याद आया तो नमाज़ का लौटान्ना नहीं अगर्चे वक़्त में बहुत कुछ गुंजाइश हो। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— बावुजूद याद और गुन्जाइशे वक़्त के वक़्ती नमाज़ की निस्बत जो कहा गया कि न होगी उससे मुराद यह है कि वह नमाज़ मौक़ूफ़ है अगर वक़्ती पढ़ता गया और क़ज़ा रहने दी तो जब दोनों मिलकर छः हो जायेंगी यानी छठी का वक़्त ख़त्म हो जायेगा तो सब सही हो गईं और इस दरमियान में क़ज़ा पढ़ लीं तो सब गईं यानी नफ़्ल हो गईं सब को फिर से पढ़े। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— बअ्ज़ (कुछ) नमाज़ पढ़ते वक़्त क़ज़ा याद थी और बअ्ज़ में याद न रही तो जिन में क़ज़ा याद है उन में पाँचवीं का वक़्त ख़त्म हो जाये यानी क़ज़ा समेत छठी का वक़्त हो जाये तो अब सब हो गईं और जिनके अदा करते वक़्त क़ज़ा की याद न थी उनका एअ्तिबार नहीं।(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :— औरत की एक नमाज़ कज़ा हुई उसके बाद हैज़ आ गया तो हैज़ से पाक होकर पहले क़ज़ा पढ़ ले फिर वक़्ती पढ़े अगर क़ज़ा याद होते हुए वक़्ती पढ़ेगी न होगी जबकि वक़्त में गुन्जाइश हो। (आलमगीरी)

क़ज़ा—ए—उम्री—के मसाइल

मसअ्ला :— जिसके ज़िम्मे क़ज़ा नमाजें हों अगर्चे उनका पढ़ना जल्द से जल्द वाजिब है मगर बाल बच्चों की परवरिश वग़ैरा और अपनी ज़रूरियात की फ़राहमी के सबब ताख़ीर (देर)जाइज़ है तो कारोबार भी करे और जो वक़्त फ़ुर्सत का मिले उसमें क़ज़ा पढ़ता रहे यहाँ तक कि पूरी हो जायें। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :— क़ज़ा नमाज़ें नवाफ़िल से अहम हैं यानी जिस वक़्त नफ़्ल पढ़ता है उन्हें छोड़ कर उनके बदले क़ज़ायें पढ़े कि बरीउज़्ज़िम्मा हो जाये अलबत्ता तरावीह और बारह रकअ्तें सुन्नते मुअक्कदा की न छोड़े। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :— मन्नत की नमाज़ में किसी ख़ास वक़्त या दिन की क़ैद लगाई तो उसी वक़्त या दिन में पढ़नी वाजिब है वर्ना क़ज़ा हो जायेगी और वक़्त या दिन मोअय्यन नहीं तो गुन्जाइश है।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— किसी शख़्स की एक नमाज़ क़ज़ा हो गई और यह याद नहीं कि कौन सी नमाज़ थी तो एक दिन की सब नमाज़ें पढ़े। यूँही अगर दो नामज़ें दो दिन में क़ज़ा हुईं तो दोनों दिनों की सब नमाज़ें पढ़े। यूँही तीन दिन की सब नमाज़ें और पाँच दिन की सब नमाज़ें। (आलमगीरी)

मसअ्ला :— एक दिन अ़स्र की और एक दिन ज़ोहर की क़ज़ा हो गई और यह याद नहीं कि पहले दिन की कौन नमाज़ है तो जिधर तबीअ़त जमे उसे पहली क़रार दे और किसी तरफ़ दिल नहीं

जमता तो जो चाहे पहले पढ़े मगर दूसरी पढ़ने के बाद जो पहले पढ़ी है फेरे और बेहतर यह है कि पहले ज़ोहर पढ़े फिर अस्र फिर ज़ोहर का इआ़दा करे यानी लौटाये और अगर पहले अस्र पढ़ी फिर ज़ोहर फिर अस्र का इआ़दा किया तो भी हरज नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अस्र की नमाज़ पढ़ने में याद आया कि नमाज़ का एक सजदा रह गया मगर यह याद नहीं कि इसी नमाज़ का रह गया या ज़ोहर का तो जिधर दिल जमे उस पर अ़मल करे और किसी तरफ़ दिल न जमे तो अस्र पूरी कर के आख़िर में एक सजदए सहव करे फिर ज़ोहर का इआ़दा करे फिर अस्र का और इआ़दा न किया तो भी हरज नहीं (आलमगीरी)

नमाज़ के फ़िदया के मसाइल

मसअ्ला :– जिसकी नमाज़ें क़ज़ा हो गईं और इन्तिक़ाल हो गया तो अगर वसीयत कर गया और माल भी छोड़ा तो उसकी तिहाई से हर फ़र्ज़ व वित्र के बदले निस्फ़ साअ़ गेहूँ या एक साअ़ जौ तसद्दुक़ (सदक़ा) करें। और माल न छोड़ा और वुरसा फ़िदया देना चाहें तो कुछ माल अपने पास से या क़र्ज़ लेकर मिस्कीन पर तसद्दुक़ करके उसके क़ब्ज़े में दें और मिस्कीन अपनी तरफ़ से उसे हिबा कर दे और यह कब्ज़ा भी कर ले फिर यह मिस्कीन को दे, यूँही लौट फेर करते रहें यहाँ तक कि सबका फ़िदया अदा हो जाये और अगर माल छोड़ा मगर वह नाकाफ़ी है जब भी यही करें और अगर वसीयत न की और वली अपनी तरफ़ से बतौरे एहसान फ़िदया देना चाहे तो दे और अगर माल की तिहाई बक़द्रे काफ़ी है और वसीयत यह की कि इसमें से थोड़ा लेकर लौट फेर करके फ़िदया पूरा कर लें और बाक़ी को वुरसा या और कोई ले ले तो गुनाहगार हुआ।(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मय्यत ने वली को अपने बदले नमाज़ पढ़ने की वसीयत की और वली ने पढ़ भी ली तो यह नाकाफ़ी है। यूँही अगर मरज़ की हालत में नमाज़ का फ़िदया दिया तो अदा न हुआ।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :– बअ्ज़ नावक़िफ़ यूँ फ़िदया देते हैं नमाज़ों के फ़िदये की क़ीमत लगाकर सबके बदले में क़ुर्आन मजीद दे देते हैं। इस तरह कुल फ़िदया अदा नहीं होता यह सिर्फ़ बे–अस्ल बात है बल्कि सिर्फ़ उतना ही अदा होगा जिस क़ीमत का मुसहफ़ शरीफ़ है।

मसअ्ला :– शाफ़िई मज़हब की नमाज़ क़ज़ा हुई उसके बाद हनफ़ी हो गया तो हनफ़ियों के तौर पर क़ज़ा पढ़े। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिसकी नमाज़ों में नुक़सान व कराहत हो वह तमाम उम्र की नमाज़ें फेरे तो अच्छी बात है और कोई ख़राबी न हो तो न चाहिये और करे तो फ़ज्र अस्र के बाद न पढ़े और तमाम रकअ़तें भरी पढ़े और वित्र में कुनूत पढ़ कर तीसरी के बाद क़अ्दा करे फिर एक और मिलाये कि चार हो जायें। यह इसलिए है कि अब जो नामज़ें पढ़ रहा है वह नफ़्ल की तरह हैं लिहाज़ा नफ़्ल के अहकाम लागू होंगे और नफ़्ल नमाज़ में हर दो रकअ़त के बाद क़अ्दा ज़रूरी है लिहाज़ा तीन रकअ़त को चार बना लेना चाहिए। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़ज़ाए उमरी कि शबे क़द्र या रमज़ान के आख़िरी जुमा में जमाअ़त से पढ़ते हैं और यह समझते हैं कि उम्र भर की क़ज़ाएं इसी एक नमाज़ से अदा हो गईं यह सिर्फ़ ग़लत अक़ीदा है।

सजदए सहव का बयान

हदीस में है एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दो रकअ़त पढ़ कर खड़े हो गये बैठे नहीं फिर सलाम के बाद सजदए सहव किया उस हदीस का तिर्मिज़ी ने मुग़ीरह इब्ने शोअ़बा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवयात किया और फ़रमाया कि यह हदीस हसन सही है।

मसअ्ला :– वाजिबाते नमाज़ में जब कोई वाजिब भूले से रह जाये तो उसकी तलाफ़ी यानी कमी को पूरा करने के लिए सजदए सहव वाजिब है और उसका तरीक़ा यह है कि अत्तहीय्यात के बाद दाहिनी तरफ़ सलाम फेर कर दो सजदे करे फिर तशह्हुद वग़ैरा पढ़कर सलाम फेरे। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– अगर बग़ैर सलाम फेरे सजदे कर लिये काफ़ी हैं मगर ऐसा करना मकरूहे तन्ज़ीही है

मसअ्ला :– क़स्दन वाजिब तर्क किया तो सजदए सहव से वह नुक़सान दफ़अ़ न होगा बल्कि इआदा वाजिब है। यूँही अगर सहवन (भूल कर)वाजिब तर्क हुआ और सजदए सहव न किया जब भी लौटाना वाजिब है। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– कोई ऐसा वाजिब तर्क हो जो वाजिबाते नमाज़ से नहीं बल्कि उसका वुजूब अमरे ख़ारिज से हो (यानी नामज़ के बाहर वह चीज़ वाजिब हो)तो सजदए सहव वाजिब नहीं मसलन ख़िलाफ़े तरतीब क़ुर्आन मजीद पढ़ना तर्के वाजिब है मगर तरतीब के मुवाफ़िक़ पढ़ना वाजिबाते तिलावत से है वाजिबाते नमाज़ से नहीं। लिहाज़ा सजदए सहव नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– फ़र्ज़ तर्क हो जाने से नमाज़ जाती रहती है सजदए सहव से उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। लिहाज़ा फिर पढ़े और सुनन व मुस्तहब्बात मसलन तअव्वुज़(अऊज़ुबिल्लाह),तस्मीया, (बिस्मिल्लाह),सना (सुब्हाना),आमीन तकबीराते इन्तिक़ालात (तकबीरें),तस्बीहात के तर्क से भी सजदए सहव नहीं बल्कि नमाज़ हो गई। (रद्दुलमुहतार गुनिया)मगर लौटाना मुस्तहब है सहवन तर्क किया हो या क़स्दन।.

मसअ्ला :– सजदए सहव उस वक़्त वाजिब है कि वक़्त में गुन्जाइश हो और अगर न हो मसलन नमाज़े फज्र में सहव वाक़ेअ़ हुआ और पहला सलाम फेरा और सजदा अभी न किया कि आफ़ताब तुलूअ़ कर आया तो सजदए सहव साक़ित हो गया। यूँही अगर क़ज़ा पढ़ता था और सजदे से पहले क़ुर्से आफ़ताब (सूरज ज़र्द (पीला) हो गया सजदए सहव साक़ित हो गया। जुमा या ईदैन का वक़्त जाता रहेगा जब भी यही हुक्म है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जो चीज़ मानेए बिना है (बिना का बयान तीसरे हिस्से में गुज़रा)यानी उसके बाद बिना नहीं हो सकती मसलन कलाम वग़ैरा मुनाफ़ीए नमाज़ अगर सलाम के बाद पाई तो अब सजदए सहव नहीं हो सकता। (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– सजदए सहव का साक़ित होना अगर इसके फ़ेअ़्ल से है तो लौटाना वाजिब है वरना नहीं। (रद्दुलमुहतार)

नोट :– यह अ़ल्लामा शामी की बहस है और आलाहज़रत रदियल्लाहु तआला अ़न्हु ने हाशिया रद्दुल मुहतार में यह साबित किया कि बहर हाल इआदा (लौटाना) है।

मसअ्ला :– फ़र्ज़ व नफ़्ल दोनों का एक हुक्म है यानी नवाफ़िल में भी वाजिब तर्क होने से सजदए सहव वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– नफ़्ल की दो रकअ़तें पढ़ीं और इनमें सहव (भूल) हुआ फिर इसी पर बिना कर के दो

रकअ़तें और पढ़ीं तो सजदए सहव करे और फ़र्ज़ में सहव हुआ था और इस पर क़स्दन नफ़्ल की बिना की तो सजदए सहव नहीं बल्कि फ़र्ज़ का इआ़दा करे और अगर इस फ़र्ज़ के साथ सहवन नफ़्ल मिलाया हो मसलन चार रकअ़त पर क़अ़दा करके खड़ा हो गया और पाँचवीं का सजदा कर लिया तो एक रकअ़त और मिलाये कि यह दो हो जायें और इनमें सजदए सहव करे।(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– सजदए सहव के बाद भी अत्तहीय्यात पढ़ना वाजिब है अत्तहीयात पढ़ कर सलाम फेरे और बेहतर यह है कि दोनों क़अ़्दों में दुरूद शरीफ़ भी पढ़े। (आ़लमगीरी) और यह भी इख़्तियार है कि पहले क़अ़्दा में अत्तहीय्यात व दुरूद पढ़े और दूसरे में सिर्फ़ अत्तहीय्यात।

मसअ्ला :– सजदए सहव से वह पहला क़अ़्दा बातिल न हुआ मगर फिर क़अ़्दा करना वाजिब है और अगर नमाज़ का कोई सजदा बाक़ी रह गया था क़अ़्दे के बाद उसको किया या सजदए तिलावत किया तो वह क़अ़्दा जाता रहा अब फिर क़अ़्दा फ़र्ज़ है कि बग़ैर क़अ़्दा नमाज़ ख़त्म कर दी तो न हुई और पहली सूरत में हो जायेगी मगर वाजिबुल इआ़दा यानी उसका लौटाना वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– एक नमाज़ में चन्द वाजिब तर्क हुए तो वही दो सजदे सब के लिए काफ़ी हैं। (रद्दुल मुहतार वग़ैरा)वाजिबाते नमाज़ का मुसलसल बयान पहले (तीसरे हिस्से में) हो चुका मगर तफ़सीले अह़काम के लिए इआ़दा बेहतर। वाजिब की ताख़ीर,रुक्न की तक़दीम यानी सजदा पहले करना फिर रुकूअ़ करना वग़ैरा या ताख़ीर (देर) या उसको मुकर्रर करना (दो बार करना)या वाजिब में तग़य्युर (बदलाव) यह सब भी तर्के वाजिब हैं।

मसअ्ला :– फ़र्ज़ की पहली दो रकअ़तों में और नफ़्ल व वित्र की किसी रकअ़त में सूरए फ़ातिहा शरीफ़ की एक आयत भी रह गई या सूरत से पहले दो बार फ़ातिहा शरीफ़ पढ़ी या सूरत मिलाना भूल गया या सूरत को फ़ातिहा पर मुक़द्दम किया (यानी पहले सूरत फिर फ़ातिहा पढ़ी)या सूरए फ़ातिहा के बाद एक या दो छोटी आयतें पढ़ कर रुकूअ़ में चला गया फिर याद आया और लौटा और तीन आयतें पढ़ कर रूकूअ़ किया तो इन सब सूरतों में सजदए सहव वाजिब है(दुर्रेमुख़्तार,आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– सूरए फ़ातिहा शरीफ़ के बाद सूरत पढ़ी उसके बाद फिर अलहम्दु पढ़ी तो सजद–ए–सहव वाजिब नहीं यूहीं फ़र्ज़ की पिछली रकअ़तों में फ़ातिहा की तकरार से मुतलक़न सजदए सहव वाजिब नहीं और अगर पहली रकअ़तों में सूरए फ़ातिहा का ज़्यादा हिस्सा पढ़ लिया था फिर इआ़दा किया तो सजदए सहव वाजिब है। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– सूरए फ़ातिहा पढ़ना भूल गया और सूरत शुरूअ़ कर दी और एक आयत के बराबर पढ़ली अब याद आया तो अलहम्दु पढ़ कर सूरत पढ़े और सजदा सहव वाजिब है। यूँही अगर सूरत पढ़ने के बाद या रुकू में या रुकूअ़ से खड़े होने के बाद याद आया तो फिर सूरए फ़ातिहा पढ़कर सूरत पढ़े और रुकूअ़ का इआ़दा करे और सजदए सहव करे। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– फ़र्ज़ की पिछली रकअ़तों में सूरत मिलाई तो सजदए सहव नहीं और क़स्दन मिलाई जब भी ह़रज नहीं मगर इमाम को न चाहिए। यूँही अगर पिछली में सूरए फ़ातिहा न पढ़ी जब भी सजदए सहव नहीं और रुकूअ़ व सुजूद व क़अ़्दा में क़ुर्आन पढ़ा तो सजदा–सहव वाजिब है। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– आयते सजदा पढ़ी और सजदा करना भूल गया तो सजदए तिलावत अदा करे और सजदए सहव करे। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– जो फ़ेअ्ल नमाज़ में मुकर्रर (बार–बार)हैं उनमें तरतीब वाजिब है। लिहाज़ा ख़िलाफ़े तरतीब फ़ेअ्ल वाक़ेअ् हो तो सजदए सहव करे मसलन क़िरात से पहले रुकूअ् कर दिया और रुकूअ् के बअ्द क़िरात न की तो नमाज़ फ़ासिद हो गई कि फ़र्ज़ तर्क हो गया और रुकूअ् के बाद क़िरात तो की मगर फिर रुकूअ् न किया तो भी फ़ासिद हो गई कि क़िरात की वजह से रुकूअ् जाता रहा और अगर बक़द्रे फ़र्ज़ क़िरात करके रुकूअ् किया मगर वाजिबे क़िरात अदा न हुआ मसलन सूरए फ़ातिहा न पढ़ी या सूरत न मिलाई तो। हुक्म यही है कि लौटे और सूरए फ़ातिहा व सूरत पढ़कर रुकूअ् करे और सजदए सवह करे और अगर दोबारा रुकू न किया तो नमाज़ जाती रही कि पहला रुकूअ् जाता रहा। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– किसी रकअ्त का कोई सजदा रह गया आख़िर में याद आया तो सजदा करे फिर अत्तहीय्यात पढ़कर सजदए सहव करे और सजदए सहव के पहले जो अफ़आले नमाज़ अदा किये बातिल न होंगे। हाँ अगर क़अ्दा के बाद वह नमाज़ वाला सजदा किया तो सिर्फ़ वह क़अ्दा जाता रहा। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– तअ्दीले अरकान(रुक्न अदा करने में अद्ल करना) से नमाज़ अदा करना भूल गया सजदए सहव वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– फ़र्ज़ में क़अ्दए ऊला भूल गया तो जब तक सीधा खड़ा न हुआ लौट आये और सजदए सहव नहीं और अगर सीधा खड़ा हो गया तो न लौटे और आख़िर में सजदए सहव करे और अगर सीधा खड़ा होकर लौटा तो सजदए सहव करे और सही मज़हब में नमाज़ हो जायेगी मगर गुनाहगार हुआ। लिहाज़ा हुक्म है कि अगर लौटे तो फ़ौरन खड़ा हो जाये। (दुर्रे मुख़्तार गुनिया)

मसअ्ला :– अगर मुक़तदी भूल कर खड़ा हो गया तो ज़रूरी है कि लौट आये ताकि इमाम की मुख़ालफ़त न हो। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़अ्दए अख़ीरा भूल गया तो जब तक उस रकअ्त का सजदा न किया हो लौट आये और सजदए सहव करे और अगर क़अ्दए अख़ीरा में बैठा था मगर बक़द्रे तशह्हुद न हुआ था कि खड़ा हो गया तो लौट आये और वह जो पहले कुछ देर तक बैठा था महसूब (शुमार)होगा यानी लौटने के बाद जितनी देर तक बैठा यह और पहले का क़अ्दा दोनों मिलकर बक़द्रे तशह्हुद हो गये फ़र्ज़ अदा हो गया मगर सजदए सहव इस सूरत में भी वाजिब है और अगर इस रकअ्त का सजदा कर लिया तो सजदे से सर उठाते ही वह फ़र्ज़ नफ़्ल हो गया। लिहाज़ा अगर चाहे तो अलावा मग़रिब के और नमाज़ों में एक और मिलाये शुफ़आ (दो रकअ्त को मिलाकर एक शुफ़आ कहते हैं)पूरा हो जाये और ताक़ (विषम)रकअ्त न रहे अगर्चे वह नमाज़े फ़ज्र या अस्र हो मग़रिब में और न मिलाये कि चार पूरी हो गईं। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– नफ़्ल का हर क़अ्दा क़ादए अख़ीरा है यानी फ़र्ज़ है अगर क़अ्दा न किया और भूल कर खड़ा हो गया तो जब तक उस रकअ्त का सजदा न करे लौट आये और सजदए सहव करे और वाजिबे नमाज़ मसलन वित्र फ़र्ज़ के हुक्म में है लिहाज़ा वित्र का क़अ्दए ऊला भूल जाये तो वही हुक्म है जो फ़र्ज़ के क़अ्दए ऊला भूल जाने का है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर बक़द्रे तशह्हुद क़अ्दए अख़ीरा कर चुका है और भूल कर खड़ा हो गया तो जब

तक उस रकअ़त का सजदा न किया हो लौट आये और सजदए सहव करके सलाम फेर दे और अगर क़ियाम ही की हालत में सलाम फेर दिया तो भी नमाज़ हो जायेगी मगर सुन्नत तर्क हुई और उस सूरत में अगर इमाम खड़ा हो गया तो मुक़तदी उसका साथ न दें बल्कि बैठे हुए इन्तिज़ार करें अगर लौट आया साथ हो लें और न लौटा और सजदा कर लिया तो मुक़तदी सलाम फेर दें और इमाम एक रकअ़त और मिलाये कि यह दो नफ़्ल हो जायें और सजदए सहव कर के सलाम फेरे और यह दो रकअ़तें सुन्नते ज़ोहर या इशा के क़ाइम मक़ाम न होंगी और अगर इन दो रकअ़तों में किसी ने इमाम की इक़्तिदा की यानी अब शामिल हुआ तो यह मुक़तदी भी छह पढ़े और अगर उस ने तोड़ दी तो दो रकअ़त की क़ज़ा पढ़े और अगर इमाम चौथी पर न बैठा था तो यह मुक़तदी छः रकअ़त की क़ज़ा पढ़े और अगर इमाम ने इन रकअ़तों को फ़ासिद कर दिया तो मुक़तदी पर मुतलक़न क़ज़ा नहीं।(दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– चौथी पर क़अ़दा करके खड़ा हो गया और किसी फ़र्ज पढ़ने वाले ने उसकी इक़्तिदा की तो इक़्तिदा सही नहीं अगर्चे लौट आया और क़अ़दा न किया था तो जब तक पाँचवीं का सजदा न किया इक़्तिदा कर सकता है कि अभी तक फ़र्ज़ ही में है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– दो रकअ़त की नियत थी और इनमें सहव हुआ और दूसरी के क़अ़दा में सजदए सहव कर लिया तो इस पर नफ़्ल की बिना मकरूहे तहरीमी है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मुसाफ़िर ने सजदए सहव के बाद इक़ामत की नियत की तो चार पढ़ना फ़र्ज़ है और आख़िर में सजदए सहव का इआ़दा करे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़अ़दए ऊला में तशह्हुद के बाद इतना पढ़ा "अल्लाहुम–म सल्लि अ़ला मुहम्मद" सजदए सहव वाजिब है। इस वजह से नहीं कि दुरूद शरीफ़ पढ़ा बल्कि इस वजह से कि तीसरी के क़ियाम में ताख़ीर हुई तो अगर इतनी देर तक सुकूत किया जब भी सजदए सहव वाजिब है जैसे क़अ़दा व रुकूअ़ व सूजूद में कुर्आन पढ़ने से सजदए सहव वाजिब है हालाँकि वह कलामे इलाही है। इमामे अअ़ज़म रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को ख़्वाब में देखा हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया दुरूद पढ़ने वाले पर तुमने क्यूँ सजदा वाजिब बताया। अ़र्ज़ की इसलिए कि उसने भूल कर पढ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने तहसीन फ़रमाई। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार वग़ैरा)

मसअ्ला :– किसी क़अ़दे में अगर तशह्हुद में से कुछ रह गया सजदा सहव वाजिब है नमाज़े नफ़्ल हो या फ़र्ज़। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– पहली दो रकअ़तों के क़ियाम में सूरए फ़ातिहा के बाद तशह्हुद पढ़ा सजदए सहव वाजिब है और सूरए फ़ातिहा से पहले पढ़ा तो नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– पिछली रकअ़तों के क़ियाम में तशह्हुद पढ़ा तो वाजिब न हुआ और अगर क़अ़दए ऊला में चन्द बार तशह्हुद पढ़ा सजदा सहव वाजिब हो गया। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– तशह्हुद पढ़ना भूल गया और सलाम फेर दिया फिर याद आया तो लौट आये तशह्हुद पढ़े और सजदए सहव करे। यूँही अगर तशह्हुद की जगह सूरए फ़ातिहा पढ़ी सजदए सहव वाजिब हो गया। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– रुकूअ् की जगह सजदा किया या सजदे की जगह रुकूअ् या किसी ऐसे रुक्न को दो बार किया जो नमाज़ में मुकर्रर मशरूअ् यानी शरीअ़त में दो बार का हुक्म न था या किसी रुक्न को मुक़द्दम या मुअख़्ख़र किया यानी आगे या पीछे किया तो इन सब सूरतों में सजदए सहव वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– कुनूत या तकबीरे कुनूत यानी किरात के बाद कुनूत के लिए जो तकबीर कही जाती है भूल गया सजदए सहव करे।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– ईदैन की सब तकबीरें या बअ्ज़ भूल गया या ज़्यादा कहीं या ग़ैर महल में कहीं(यानी जहाँ कहना हो वहाँ के बजाए दूसरी जगह कहीं) इन सब सूरतों में सजदए सहव वाजिब है।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– इमाम तकबीराते ईदैन भूल गया और रुकूअ् में चला गया तो लौट आये और मसबूक़ रुकूअ् में शामिल हुआ तो रुकूअ् ही में तकबीर कह ले। (यानी बिना हाथ उठाए रुकू ही में अल्लाहु अकबर–अल्लाहु अकबर कह ले)(आलमगीरी) ईदैन में दूसरी रकअ्त की तकबीरे रुकूअ् भूला गया तो सजदए सहव वाजिब है और पहली रकअ्त की तकबीरे रुकूअ् भूला तो नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जुमा व ईदैन में सहव वाक़ेअ् हुआ और जमाअ़त कसीर (ज़्यादा)हो तो बेहतर यह है कि सजदए सहव न करे। (आलम गीरी रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– इमाम ने जहरी नमाज़ (जिस में क़िरात बलन्द आवाज़ से होती है) में बक़द्र जवाज़े नमाज़ यानी एक आयत आहिस्ता पढ़ी या सिर्री (आहिस्ता क़िरअ्त की रकअ्त) में जहर से तो सजदए सहव वाजिब है और एक कलिमा आहिस्ता या जहर से पढ़ा तो माफ़ है।(आलम गीरी दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार गुनिया)

मसअ्ला :– मुनफ़रिद (तन्हा नमाज़ पढ़ने वाले)ने सिर्री नमाज़ में जहर से पढ़ा तो सजदा सहव वाजिब है और जहरी में आहिस्ता तो नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– सना व दुआ व तशह्हुद बलन्द आवाज़ से पढ़ा तो ख़िलाफ़े सुन्नत हुआ मगर सजदए सहव वाजिब नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– क़िरात वग़ैरा किसी मौक़े पर सोचने लगा कि बक़द्रे एक रुक्न यानी तीन बार सुब्हानल्लाह कहने के वक़्फ़ा हुआ सजदए सहव वाजिब है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– इमाम से सहव हुआ और सजदए सहव किया तो मुक़तदी पर भी सजदए सहव वाजिब है अगर्चे मुक़तदी सहव वाक़ेअ् होने के बाद जमाअ़त में शामिल हो और अगर इमाम से सजदए सहव साक़ित हो गया तो मुक़तदी से भी साक़ित हो गया फिर अगर इमाम से साक़ित होना उसके किसी फ़ेल के सबब हो तो मुक़तदी पर भी नमाज़ का लौटाना वाजिब है वर्ना माफ़। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर मुक़तदी से ब–हालते इक़्तिदा सहव वाक़ेअ् हुआ तो मुक़तदी पर सजदए सहव वाजिब नहीं और ऐसी नमाज़ का लौटाना भी ज़रूरी नहीं। (आम्मए कुतुब, शामी)

मसअ्ला :– मसबूक़ इमाम के साथ सजदए सहव करे अगर्चे उसके शरीक होने से पहले सहव हुआ हो और इमाम के साथ सजदा न किया माबक़िया (यानी जो छूट गई थीं)पढ़ने खड़ा हो गया तो आख़िर में सजदए सहव करे,और अगर इस मसबूक़ से अपनी नमाज़ में सहव हुआ तो आख़िर के यही सजदे उस सहवे इमाम के लिए भी काफ़ी हैं। (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मसबूक़ ने अपनी नमाज़ बचाने के लिए इमाम के साथ सजदए सहव न किया यानी जानता है कि अगर सजदा सहव करेगा तो नमाज़ जाती रहेगी मसलन नमाज़े फ़ज्र में आफ़ताब

तुलूअ् हो जायेगा या जुमे में वक़्ते अस्र आ जायेगा या मोज़े पर सहव की मुद्दत गुज़र जायेगी तो इन सूरतों में इमाम के साथ सजदए सहव न करने में कराहत नहीं बल्कि बक़द्रे तशह्हुद बैठने के बाद खड़ा हो जाये। (ग़ुनिया)

मसअला :– मसबूक़ ने इमाम के सहव में इमाम के साथ सजदए सहव किया फिर जब अपनी पढ़ने खड़ा हुआ और इसमें भी सहव हुआ तो इसमें भी सजदए सहव करे। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– मसबूक़ को इमाम के साथ सलाम फेरना जाइज़ नहीं अगर क़स्दन फेरेगा नमाज़ जाती रहेगी और अगर सहवन फेरा और सलामे इमाम के साथ बिना वक़्फ़ा किए फ़ौरन ही सलाम फेरा था तो इस पर सजदए सहव वाजिब नहीं और अगर सलामे इमाम के कुछ भी बाद फेरा तो खड़ा हो जाये अपनी नमाज़ पूरी करके सजदए सहव करे। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– इमाम के एक सजदए सहव करने के बाद शरीक हुआ तो दूसरा सजदा इमाम के साथ करे और पहले की क़ज़ा नहीं और अगर दोनों सजदों के बाद शरीक हुआ तो इमाम के सहव का इसके ज़िम्मे कोई सजदा नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– इमाम ने सलाम फेर दिया और मसबूक़ अपनी पूरी करने खड़ा हुआ अब इमाम ने सजदए सहव किया तो जब तक मसबूक़ ने उस रकअ़त का सजदा न किया हो लौट आये और इमाम के साथ सजदा करे जब इमाम सलाम फेरे तो अब अपनी पढ़े और पहले जो क़ियाम व क़िरात व रुकू कर चुका है उसका शुमार न होगा बल्कि फिर से वह अफ़्आ़ल करे और अगर न लौटा और अपनी पढ़ ली तो आख़िर में सजदए सहव करे और अगर उस रकअ़त का सजदा कर चुका है तो न लौटे लौटेगा तो नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी। (आ़लमगीरी)

मसअला :– इमाम के सहव से लाहिक़ (जिसकी बीच की कुछ रकअ़तें छूटी हों) पर भी सजदए सहव वाजिब है मगर लाहिक़ अपनी आख़िर नमाज़ में सजदए सहव करेगा और इमाम के साथ अगर सजदा किया हो तो आख़िर में इआ़दा करे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर तीन रकअ़त में मसबूक़ हुआ और एक रकअ़त में लाहिक़ तो एक रकअ़त बिला क़िरात पढ़कर बैठे और तशह्हुद पढ़ कर सजदए सहव करे फिर एक रकअ़त भरी पढ़ कर बैठे कि यह इसकी दूसरी रकअ़त है फिर एक भरी और एक ख़ाली पढ़ कर सलाम फेर दे और अगर एक में मसबूक़ है और तीन में लाहिक़ तो तीन पढ़ कर सजदए सहव करे फिर एक भरी पढ़ कर सलाम फेर दे। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मुक़ीम ने मुसाफ़िर की इक़्तिदा की और इमाम से सहव हुआ तो इमाम के साथ सजदए सहव करे फिर अपनी दो पढ़े और इनमें भी सहव हुआ तो आख़िर में फिर सजदा करे। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– इमाम से सलातुल ख़ौफ़ में (जिस का बयान और तरीक़ा इन्शा अल्लाह तआ़ला आगे आयेगा) सहव हुआ तो इमाम के साथ दूसरा गिरोह सजदए सहव करे और पहला गिरोह उस वक़्त करे जब अपनी नमाज़ ख़त्म कर चुके। (आ़लमगीरी)

मसअला :– इमाम को हदस हुआ और इससे पहले सहव भी वाक़ेअ् हो चुका है और उसने ख़लीफ़ा बनाया तो ख़लीफ़ा सजदए सहव करे और अगर ख़लीफ़ा को भी हालते ख़िलाफ़त में सहव हुआ तो वही सजदे काफ़ी हैं, और अगर इमाम से तो सहव न हुआ मगर ख़लीफ़ा से इस हालत में सहव

ख़लीफ़ा का राहव खिलाफ़त से पहले हो हुआ तो इमाम पर भी सजदए सहव वाजिब है और अगर

तो सजदा वाजिब नहीं न उस पर न इमाम पर। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिस पर सजदए सहव वाजिब है अगर सहव होना याद न था और ब–नियते कता सलाम फेर दिया(यानी नमाज़ ख़त्म करने की नियत से सलाम फेर दिया)तो अभी नमाज़ से बाहर न हुआ बशर्ते कि सजदए सहव कर ले। लिहाज़ा जब तक कलाम या हदसे अ़मद(नमाज़ के ख़िलाफ़ कोई काम जानबूझ कर करना जैसे वुज़ू तोड़ा) या मस्जिद से बाहर हुआ। हो या और कोई फ़ेअ्ल नमाज़ के ख़िलाफ़ न किया हो उसे हुक्म है कि सजदा करले और अगर सलाम के बअ्द सजदए सहव न किया तो सलाम फेरने के वक़्त से नमाज़ से बाहर हो गया लिहाज़ा अगर सलाम फेरने के बाद किसी ने इक़्तिदा की और इमाम ने सजदए सहव कर लिया तो इक़्तिदा सही है और सजदा न किया तो सही नहीं और अगर याद था कि सहव हुआ है और तोड़ने की नियत से सलाम फेर दिया तो सलाम फेरते ही नमाज़ से बाहर हो गया और सजदए सहव नहीं कर सकता इआ़दा करे यानी नमाज़ लौटाये और अगर इसने ग़लती से सजदा किया और इसमें कोई शरीक हुआ तो इक़्तिदा सही नहीं (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– सजदए तिलावत बाक़ी था या क़अ्दए अख़ीरा में तशह्हुद न पढ़ा था मगर बक़द्रे तशह्हुद बैठ चुका था और यह याद है कि सजदए तिलावत या तशह्हुद बाक़ी है मगर क़स्दन सलाम फेर दिया तो सजदा साक़ित हो गया और नमाज़ से बाहर हो गया। नमाज़ फ़ासिद न हुई कि तमाम अरकान अदा कर चुका है मगर वाजिब के तर्क की वजह से मकरूहे तहरीमी हुई,यूँही अगर उसके ज़िम्मे सजदए सहव व सजदए तिलावत हैं और दोनों याद हैं या सिर्फ़ सजदए तिलावत याद है और क़स्दन सलाम फेर दिया तो दोनों साक़ित हो गये अगर सजदए नमाज़ व सजदए सहव दोनों बाक़ी थे या सिर्फ़ सजदए नमाज़ रह गया था और सजदए नमाज़ याद होते हुए सलाम फेर दिया तो नमाज़ फ़ासिद हो गई और अगर सजदए नमाज़ व सजदए तिलावत बाक़ी थे और सलाम फेरते वक़्त दोनों याद थे या एक जब भी नमाज़ फ़ासिद हो गई। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– सजदए नमाज़ या सजदए तिलावत बाक़ी था या सजदए सहव करना था और भूल कर सलाम फेरा तो जब तक मस्जिद से बाहर न हुआ, कर ले और मैदान में हो तो जब तक सफ़ों से निकल न जाये या आगे को सजदे की जगह से न गुज़रा कर ले। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– रुकूअ् में याद आया कि नमाज़ का कोई सजदा रह गया है और वहीं से सजदे को चला गया या सजदे में याद आया और सर उठा कर वह सजदा कर लिया तो बेहतर यह है कि इस रुकूअ् व सुजूद को लौटाये और सजदए सहव करे और अगर उस वक़्त न किया बल्कि आख़िर नमाज़ में किया तो उस रुकूअ् व सुजूद का इआ़दा (लौटाना)नहीं, सजदए सहव करना होगा।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ज़ोहर क़ी नमाज़ पढ़ता था और यह ख़्याल कर के कि चार पूरी हो गई दो रकअ़त पर सलाम फेर दिया तो चार पूरी कर ले और सजदए सहव करे और अगर यह गुमान किया कि मुझ पर दो ही रकअ़तें हैं मसलन अपने को मुसाफ़िर तसव्वुर किया या गुमान हुआ कि नमाज़े जुमा है या नया मुसलमान है समझा कि ज़ोहर के फर्ज़ दो ही हैं नमाज़े इशा को तरावीह तसव्वुर किया तो नमाज़ जाती रही, यूँही अगर कोई रुक्न फ़ौत हो गया और याद होते हुए सलाम फेर दिया तो नमाज़ गई। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जिस को रकअ्त के शुमार में शक हो मसलन तीन हुईं या चार और बुलूग़ (बालिग़ होने) के बअ्द यह पहला वाक़िआ है तो सलाम फेर कर या कोई अमल नमाज़ के ख़िलाफ़ करके तोड़ दे या ग़ालिबे गुमान के मुताबिक़ पढ़ ले मगर हर सूरत में इस नमाज़ को सिरे से पढ़े महज़ तोड़ने की नियत काफ़ी नहीं और अगर यह शक पहली बार नहीं बल्कि पहले भी हो चुका है तो अगर ग़ालिब गुमान किसी तरफ़ हो तो उस पर अमल करे वर्ना कम की जानिब को इख़्तियार करे यानी तीन और चार में शक हो तो तीन क़रार दे, दो और तीन में शक हो तो दो और तीसरी चौथी दोनों में क़अ्दा करे कि तीसरी रकअ्त का चौथी होने का एहतिमाल है और चौथी में क़अ्दा के बअ्द सजदए सहव कर के सलाम फेरे और गुमाने ग़ालिब की सूरत में सजदए सहव नहीं मगर सोचने में बक़द्रे एक रुक्न के वक़्फ़ा किया हो तो सजदए सहव वाजिब हो गया (हिदाया वग़ैरा)

मसअ्ला :– नमाज़ पूरी करने के बाद शक हुआ तो इस का कुछ एअ्तिबार नहीं और अगर नमाज़ के बअ्द यक़ीन है कि कोई फ़र्ज़ रह गया मगर इस में शक है कि वह क्या है तो फिर से पढ़ना फ़र्ज़ है। (फ़तह,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ज़ोहर पढ़ने के बाद एक आदिल शख़्स ने ख़बर दी कि तीन रकअ्तें पढ़ीं तो फिर से पढ़े अगर्चे इसके ख़्याल में यह ख़बर गलत हो और अगर कहने वाला आदिल न हो तो उसकी ख़बर का एअ्तिबार नहीं और अगर मुसल्ली को शक हो और दो आदिलों ने ख़बर दी तो उनकी ख़बर पर अमल करना ज़रूरी है। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– अगर तअ्दादे रकआत में शक न हुआ मगर खुद इस नमाज़ की निस्बत शक है मसलन ज़ोहर की दूसरी रकअ्त में शक हुआ कि यह अस्र की नमाज़ पढ़ता हूँ और तीसरी में नफ़्ल का शुबह हुआ और चौथी में ज़ोहर का तो ज़ोहर ही है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– तशह्हुद के बाद यह शक हुआ कि तीन हुईं या चार और रुक्न की क़द्र ख़ामोश रहा और सोचता रहा फिर यक़ीन हुआ कि चार हो गईं तो सजदए सहव वाजिब है और अगर एक तरफ़ सलाम फेरने के बाद ऐसा हुआ तो कुछ नहीं और अगर उसे हदस हुआ और वुज़ू करने गया था कि यह शक वाक़ेअ् हुआ और सोचने में वुज़ू से कुछ देर तक रुका रहा तो सजदए सहव वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– यह शक वाक़ेअ् हुआ कि इस वक़्त की नमाज़ पढ़ी या नहीं अगर वक़्त बाक़ी है लौटाये वर्ना नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– शक की सब सूरतों में सजदए सहव वाजिब है और ग़लबए ज़न(ग़ालिब गुमान)में नहीं मगर जबकि सोचने में एक रुक्न का वक़्फ़ा हो गया हो तो वाजिब हो गया। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– बे–वुज़ू होने या मसह न करने का यक़ीन हुआ और इसी हालत में एक रुक्न अदा कर लिया तो सिरे से नमाज़ पढ़े अगर्चे फिर यक़ीन हुआ कि वुज़ू था और मसह किया था।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– नमाज़ में शक हुआ कि मुक़ीम है या मुसाफ़िर तो चार पढ़े और दूसरी के बाद क़अ्दा ज़रूरी है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– वित्र में शक हुआ कि दूसरी है या तीसरी तो इस में क़ुनूत पढ़ कर क़अ्दा के बाद एक और पढ़े और इसमें भी क़ुनूत पढ़े और सजदए सहव करे। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– इमाम नमाज़ पढ़ रहा है दूसरी में शक हुआ कि पहली है या दूसरी,या चौथी और तीसरी में शक हुआ और मुक़तदियों की तरफ़ नज़र की कि यह खड़े हों तो खड़ा हो जाऊँ बैठें तो बैठ जाऊँ तो इनमें ह़रज नहीं। और सजदए सहव वाजिब न हुआ। (आलमगीरी)

नमाज़े मरीज़ का बयान

ह़दीस में है इमरान इब्ने ह़सीन रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु बीमार थे, हुज़ूरे अक़्दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम से नमाज़ के बारे में सवाल किया। फ़रमाया खड़े हो कर पढ़ो अगर इस्तिताअ़त (ताक़त)न हो तो बैठ कर इसकी भी इस्तिताअ़त न हो तो लेट कर अल्लाह तआ़ला किसी नफ़्स को तकलीफ़ नहीं देता मगर उतनी कि उसकी वुसअ़त हो। इस ह़दीस को मुस्लिम के सिवा जमाअ़ते मुह़द्दिसीन ने रिवायत किया। बज़्ज़ाज़ मुसनद में और बैहक़ी मअ़रिफ़ा में जाबिर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि नबी स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम एक मरीज़ की इयादत को तशरीफ़ ले गये देखा कि तकिये पर नमाज़ पढ़ता है यानी सजदा करता है उसे फ़ेंक दिया। उसने एक लकड़ी ली कि उस पर नमाज़ पढ़े उसे भी लेकर फेंक दिया। और फ़रमाया ज़मीन पर नमाज़ पढ़े अगर इस्तिताअ़त हो वर्ना इशारा करे और सजदे को रुकूअ़ से पस्त करे यानी सजदा करते वक़्त रुकूअ़ से, ज़्यादा झुके।

मसअ्ला :– जो शख़्स बीमारी की वजह से खड़े होकर नमाज़ पढ़ने पर क़ादिर नहीं कि खड़े होकर पढ़ने से मरज़ में नुक़सान या तकलीफ़ होगी या मरज़ बढ़ जायेगा या देर में अच्छा होगा या चक्कर आता है या खड़े होकर पढ़ने से क़तरा आयेगा बहुत शदीद दर्द नाक़ाबिले बर्दाश्त हो जायेगा तो इन सब सुरतों में बैठ कर रुकूअ़ व सुजूद के साथ नमाज़ पढ़े। (दुर्रे मुख़्तार) इसके मुतअ़ल्लिक़ बहुत मसाइल नमाज़े फ़राइज़ के बयान में ज़िक्र किए गये।

मसअ्ला :– अगर अपने आप बैठ भी नहीं सकता मगर लड़का या ग़ुलाम या ख़ादिम या कोई अजनबी शख़्स वहाँ है कि बैठादे तो बैठकर पढ़ना ज़रूरी है और अगर बैठा नहीं रह सकता तो तकिया या दीवार या किसी शख़्स पर टेक लगा कर पढ़े। यह भी न हो सके तो लेट कर पढ़े और बैठ कर पढ़ना मुमकिन हो तो लेट कर नमाज़ न होगी। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– बैठ कर पढ़ने में किसी ख़ास तौर पर पढ़ना ज़रूरी नहीं बल्कि मरीज़ पर जिस तरह आसानी हो उस तरह बैठे हाँ दो ज़ानू बैठना आसान हो या दूसरी तरह बैठने के बराबर हो तो दो ज़ानू बेहतर है वर्ना जो आसान हो इख़्तियार करें। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– नफ़्ल नमाज़ में थक गया तो दीवार या अ़सा (लाठी या डंडा) पर टेक लगाने में ह़रज नहीं वर्ना मकरूह है और बैठ कर पढ़ने में कुछ ह़रज नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– चार रकअ़त वाली नमाज़ बैठ कर पढ़ी क़अ़्दए अख़ीरा के मौक़े पर तशह्हुद पढ़ने से पहले क़िरात शुरूअ़ कर दी और रुकूअ़ भी किया तो इसका हुक्म वही है कि खड़ा होकर पढ़ने वाला चौथी के बअ़द खड़ा हो जाता। लिहाज़ा उसने जब तक पाँचवीं का सजदा न किया हो तशह्हुद पढ़े और सजदए सहव करे और पाँचवीं का सजदा कर लिया तो नमाज़ जाती रही। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– बैठ कर पढ़ने वाला दूसरी के सजदे से उठा और क़ियाम की नियत की मगर क़िरात से पहले याद आ गया तो तशह्हुद पढ़े और नमाज़ हो गई और सजदए सहव भी नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मरीज़ ने बैठ कर नमाज़ पढ़ी चौथी के सजदे से उठा तो यह गुमान करके कि तीसरी है,किरात की और इशारे से रुकू व सुजूद किया नमाज़ जाती रही और दूसरी के सजदे के बाद यह गुमान करके कि दूसरी है,किरात शुरू की फिर याद आया तो तशह्हुद की तरफ़ न लौटे बल्कि पूरी करे और आख़िर में सजदए सहव करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– खड़ा हो सकता है मगर रुकूअ् व सुजूद नहीं कर सकता या सिर्फ़ सजदा नहीं कर सकता मसलन हलक़ वग़ैरा में फोड़ा है कि सजदा करने से बहेगा तो बैठ कर इशारे से पढ़ सकता है बल्कि यही बेहतर है और इस सूरत में यह भी कर सकता है कि खड़े होकर पढ़े और रुकूअ् के लिए इशारा करे या रुकूअ् पर कादिर हो तो रुकूअ् करे फिर बैठ कर सजदे के लिए इशारा करे।(आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार रदुल मुख़्तार)

मसअ्ला :– इशारे की सूरत में सजदे का इशारा रुकूअ् से पस्त होना ज़रूरी है यानी सजदे में रुकूअ् की ब–निसबत ज़्यादा झुका हुआ इशारा हो मगर यह ज़रूरी नहीं कि सर को बिल्कुल ज़मीन से क़रीब कर दे। सजदे के लिए तकिया वग़ैरा कोई चीज़ पेशानी के क़रीब उठा कर उस पर सजदा करना मकरूहे तहरीमी है ख़्वाह खुद उसी ने वह चीज़ उठाई हो या दूसरे ने।(दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– अगर कोई चीज़ उठाकर उस पर सजदा किया और सजदे में ब–निस्बत रुकूअ् के ज़्यादा सर झुकाया जब भी सजदा हो गया मगर गुनाहगार हुआ और सजदे के लिए ज़्यादा सर न झुकाया तो हुआ ही नहीं। (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर कोई ऊँची चीज़ ज़मीन पर रखी हुई है उस पर सजदा किया और रुकूअ् के लिए सिर्फ़ इशारा न हुआ बल्कि पीठ भी झुकाई तो सहीह है बशर्ते कि सजदे के शराइत पाये जायें मसलन उस चीज़ का सख़्त होना जिस पर सजदा किया कि इस क़द्र पेशानी दब गई हो कि फिर दबाने से न दबे और उसकी ऊँचाई बारह उंगल से ज़्यादा न हो इन शराइत के पाये जाने के बाद हक़ीक़तन रुकूअ् व सुजूद पाये गये। इशारे से पढ़ने वाला इसे न कहेंगे और खड़ा होकर पढ़ने वाला इसकी इक़्तिदा कर सकता है और यह शख़्स जब इस तरह रुकूअ् व सुजूद कर सकता है और क़ियाम पर क़ादिर है तो इस पर क़ियाम फ़र्ज़ है या नमाज़ पढ़ने के बीच में क़ियाम पर क़ादिर हो गया तो जो बाक़ी है उसे खड़े हो कर पढ़ना फ़र्ज़ है। लिहाज़ा जो शख़्स ज़मीन पर सजदा नहीं कर सकता मगर ऊपर दी हुई शराइत के साथ कोई चीज़ ज़मीन पर रख कर सजदा कर सकता है तो उस पर फ़र्ज़ है कि उसी तरह सजदा करे इशारा जाइज़ नहीं और अगर वह चीज़ जिस पर सजदा किया ऐसी नहीं तो हक़ीक़तन सुजूद न पाया गया बल्कि सजदे के लिए इशारा हुआ। लिहाज़ा खड़ा होने वाला इसकी इक़्तिदा नहीं कर सकता और अगर यह शख़्स नमाज़ पढ़ने के बीच में क़ियाम पर क़ादिर हुआ तो सिरे से पढ़े। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– पेशानी में ज़ख़्म है कि सजदे के लिए माथा नहीं लगा सकता तो नाक पर सजदा करे और ऐसा न किया बल्कि इशारा किया तो नमाज़ न हुई। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर मरीज़ बैठने पर भी क़ादिर नहीं यानी बैठ नहीं सकता तो लेट कर इशारे से पढ़े ख़्वाह दाहिनी या बायीं करवट पर लेट कर क़िब्ले को मुँह करे ख़्वाह चित लेट कर क़िब्ले को पाँव करे मगर पाँव न फैलाए कि क़िब्ला को पाँव फैलाना मकरूह है बल्कि घुटने खड़े रखे और सर के नीचे तकिया वग़ैरा रख कर ऊँचा कर ले कि मुँह क़िब्ला को हो जाये और यह सूरत यानी चित

लेट कर पढ़ना अफ़ज़ल है। (दुर्रे मुख़्तार वगैरा)

मसअला :– अगर सर से इशारा भी न कर सके तो नमाज़ साक़ित है इसकी ज़रूरत नहीं कि आँख या भौं या दिल के इशारे से पढ़े फिर अगर छः वक़्त इसी हालत में गुज़र गये तो उनकी क़ज़ा भी साक़ित फिदया की भी हाजत नहीं वर्ना सेहत होने के बाद इन नमाज़ों की क़ज़ा लाज़िम है अगर्चे इतनी ही सेहत हो कि सर के इशारे से पढ़ सके। (दुर्रे मुख़्तार वगैरा)

मसअला :– मरीज़ अगर क़िब्ले की तरफ़ न अपने आप मुँह कर सकता है न दूसरे के ज़रिए से तो वैसे ही पढ़ ले और सेहत के बाद इस नमाज़ को दोहराने की ज़रूरत नहीं और अगर कोई शख़्स मौजूद है कि इसके कहने से क़िब्ला–रू कर देगा मगर इस ने उस से न कहा तो न हुई। इशारे से जो नमाज़ें पढ़ी हैं सेहत के बअ्द उनका लौटाना भी ज़रूरी नही। यूँही अगर ज़बान बन्द हो गई और गूँगे की तरह नमाज़ पढ़ी फिर ज़बान खुल गई तो इन नमाज़ों को भी दोहराने की ज़रूरत नहीं।(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मरीज़ इस हालत को पहुँच गया कि रुकूअ् व सुजूद की तअ्दाद याद नहीं रख सकता तो उस पर अदा ज़रूरी नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– तन्दरुस्त शख़्स नमाज़ पढ़ रहा था,नमाज़ के बीच में ऐसा मरज़ पैदा हो गया कि अरकान अदा पर कुदरत न रही। तो जिस तरह मुमकिन हो बैठ कर लेट कर नमाज़ पूरी करे सिरे से पढ़ने की हाजत नहीं। (दुर्रे मुख़्तार,आलमगीरी)

मसअला :– बैठ कर रुकूअ् व सुजूद से नमाज़ पढ़ रहा था नमाज़ पढ़ते ही में क़ियाम पर क़ादिर हो गया तो जो बाक़ी है खड़ा होकर पढ़े और इशारे से पढ़ता था और नमाज़ ही में रुकूअ् व सुजूद पर क़ादिर हो गया तो सिरे से पढ़े। (दुर्रे मुख़्तार,आलमगीरी)

मसअला :– रुकूअ् व सुजूद पर क़ादिर न था खड़े या बैठे नमाज़ शुरूअ् की रुकूअ् व सुजूद के इशारे की नौबत न आई थी कि अच्छा हो गया तो उसी नमाज़ को पूरा करे सिरे से पढ़ने की हाजत नहीं और अगर लेट कर नमाज़ शुरूअ् की थी और इशारे से पहले खड़े या बैठकर रुकूअ् व सुजूद पर क़ादिर हो गया तो सिरे से पढ़े। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– चलती हुई कश्ती या जहाज़ में बिला उज़्र बैठ कर नमाज़ सही नहीं बशर्ते कि उतर कर खुश्की में पढ़ सके और ज़मीन पर बैठ गई हो तो उतरने की हाजत नहीं और किनारे पर बँधी हो और उतर सकता हो तो उतर कर खुश्की में पढ़े वर्ना कश्ती ही में खड़े होकर और बीच दरिया में लंगर डाले हुए है तो बैठ कर पढ़ सकता है अगर हवा के तेज़ झोंके लगते हों कि खड़े होने में चक्कर का ग़ालिब गुमान हो। और अगर हवा से ज़्यादा हरकत न हो तो बैठ कर नहीं पढ़ सकते और कश्ती पर नमाज़ पढ़ने में क़िब्ले को मुँह कर ले और अगर इतनी तेज़ गर्दिश हो कि क़िब्ले को मुँह करने से आजिज़ (मजबूर) है तो इस वक़्त मुलतवी रखे ,हाँ अगर वक़्त जाता देखे तो पढ़ ले। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार गुनिया)

मसअला :– जुनून या बेहोशी अगर पूरे छः वक़्त को घेर ले तो इन नमाज़ों की क़ज़ा भी नहीं अगर्चे बेहोशी आदमी या दरिन्दे के ख़ौफ़ से हो और इस से कम हो तो क़ज़ा वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर किसी–किसी वक़्त होश हो जाता हो तो उसका वक़्त मुक़र्रर है या नहीं अगर

वक़्त मुक़र्रर है और इस से पहले पूरे छः वक़्त न गुज़रे तो क़ज़ा वाजिब और वक़्त मुक़र्रर न हो बल्कि दफ़अतन(अचानक) होश हो जाता है फिर वही हालत पैदा हो जाती है तो इस इफ़ाक़े का एअ्तिबार नहीं यानी सब बेहोशियाँ मुत्तसिल (मिली हुई) समझी जायेंगी। (दुर्रे मुख़्तार,आलमगीरी)

मसअ्ला :– शराब या भाँग पी अगर्चे दवा की ग़रज़ से और अ़क़्ल जाती रही तो क़ज़ा वाजिब है अगर्चे बेअ़क़्ली कितने ही ज़्यादा ज़माने तक हो। यूँही अगर दूसरे ने मजबूर कर के शराब पिला दी जब भी क़ज़ा मुतलक़न वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी)

मसअ्ला :– सोता रहा जिसकी वजह से नमाज़ जाती रही तो क़ज़ा फ़र्ज़ है अगर्चे नींद पूरे छः वक़्त को घेरे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर यह हालत हो कि रोज़ा रखता है तो खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकता और न रखे तो खड़े हो कर पढ़ सकेगा तो रोज़ा रखे और नमाज़ बैठ कर पढ़े। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मरीज़ ने वक़्त से पहले नमाज़ पढ़ ली इस ख़्याल से कि वक़्त में न पढ़ सकेगा तो नमाज़ न हुई,और बग़ैर क़िरात भी न होगी मगर जबकि क़िरात से आजिज़ हो यानी क़िरात कर ही न सके तो हो जायेगी।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत बीमार हो तो शौहर पर फ़र्ज़ नहीं कि उसे वुज़ू करा दे और ग़ुलाम बीमार हो तो वुज़ू करा देना मौला के ज़िम्मे है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– छोटे से ख़ेमें में है कि खड़ा नहीं हो सकता और बाहर निकलता है तो मेंह और कीचड़ है तो बैठ कर पढ़े। यूँही खड़े होने में दुश्मन का ख़ौफ़ है तो बैठ कर पढ़ सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– बीमार की नमाज़ें क़ज़ा हो गईं अब अच्छा होकर उन्हें पढ़ना चाहता है तो वैसे पढ़े जैसे तन्दरुस्त पढ़ते हैं उस तरह नहीं पढ़ सकता जैसे बीमारी में पढ़ता मसलन बैठ कर या इशारे से अगर उसी तरह पढ़ी तो न हुई, और सेहत की हालत में क़ज़ा हुई बीमारी में उन्हें पढ़ना चाहता है तो जिस तरह पढ़ सकता है पढ़े हो जायेंगी सेहत की सी पढ़ना इस वक़्त वाजिब नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– पानी में डूब रहा है अगर इस वक़्त भी बग़ैर अमले कसीर इशारे से पढ़ सकता है मसलन तैराक है या लकड़ी वग़ैरा का सहारा पाया जाये तो पढ़ना फ़र्ज़ है वर्ना मअ्ज़ूर है बच जाये तो क़ज़ा पढ़े। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– आँख बनवाई और तबीबे हाज़िक़ मुसलमान (माहिर मुसलमान हकीम,डाक्टर)मस्तूर (यानी जिसकी हालत मालूम न हो कि परहेज़गार है या फ़ासिक़)ने लेटे रहने का हुक्म दिया तो लेट कर इशारे से पढ़े। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मरीज़ के नीचे नजिस बिछौना बिछा है और हालत यह हो कि बदला भी जाये तो नमाज़ पढ़ते–पढ़ते नमाज़ न होने की मिक़दार बिछौना नापाक हो जाये तो उसी पर नमाज़ पढ़े। यूँही अगर बदला जाये तो इस क़द्र जल्द नजिस न होगा मगर बदलने में उसे शदीद तकलीफ़ होगी तो उसी नजिस बिछौना ही पर पढ़ ले। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

तम्बीहे ज़रूरी

मुसलमान इस बाब के मसाइल को देखें तो उन्हें बख़ूबी मालूम हो जायेगा कि शरीअते मुतह्हरा ने किसी हालत में भी सिवा बाज़ नादिर सूरतों के नमाज़ मुआफ़ नहीं की बल्कि यह हुक्म दिया कि जिस तरह मुमकिन हो पढ़े। आजकल जो बड़े नमाज़ी कहलाते हैं उनकी यह हालत देखी जा रही है कि बुख़ार आया ज़रा शिद्दत हुई नमाज़ छोड़ दी। शिद्दत का दर्द हुआ नमाज़ छोड़ दी। कोई फुड़िया निकल आई नमाज़ छोड़ दी यहाँ तक नौबत पहुँच गई है कि दर्दे सर व ज़ुकाम में नमाज़ छोड़ बैठते हैं हालाँकि जब तक इशारे से भी पढ़ सकता हो और न पढ़े तो उन्हीं वईदों का मुस्तहिक़ है जो शुरूअ् किताब में नमाज़ छोड़ने वाले के लिए अहादीस से बयान हुईं। अल्लाह तआला हमें अपनी पनाह में रखे।

اَللّٰھُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ مُّقِیْمِی الصَّلٰوۃِ وَ مَنْ صَالِحِیْ اَھْلِھَا اَحْیَاءً وَّ اَمْوَاتًا وَّ ارْزُقْنَا اِتِّبَاعَ شَرِیْعَۃِ حَبِیْبِکَ الْکَرِیْمِ عَلَیْہِ اَفْضَلُ الصَّلٰوۃِ وَ التَّسْلِیْمِ. اٰمِیْن

तर्जमा :– ऐ अल्लाह तू हम को नमाज़ क़ाइम करने वालों में और जिन्दगी और मरने के बाद अच्छे नमाज़ वालों में कर और अपने हबीबे करीम की शरीअ़त की पैरवी रोज़ी कर उन पर बेहतर दुरूद व सलाम नाज़िल फ़रमा। आमीन !

सजदा तिलावत का बयान

सही मुस्लिम में अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआला अ़न्हु से मरवी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं जब इब्ने आदम आयते सजदा पढ़ कर सजदा करता है शैतान हट जाता है और रो कर कहता है हाय बर्बादी मेरी,इब्ने आदम को सजदे का हुक्म हुआ उस ने सजदा किया उसके लिए जन्नत है और मुझे हुक्म हुआ मैंने इन्कार किया मेरे लिए दोज़ख़ है।

मसअ्ला :– सजदे की चौदह आयतें हैं वह यह हैं।

1. सुरए अअ्राफ़ की आख़िर आयतः–

اِنَّ الَّذِیْنَ عِنْدَ رَبِّکَ لَا یَسْتَکْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِہٖ وَ یُسَبِّحُوْنَہٗ وَلَہٗ یَسْجُدُوْنَ۝

2.सूरए रअ्द की यह आयत :–

وَلِلّٰہِ یَسْجُدُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا وَّ کَرْھًا وَّ ظِلٰلُھُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ۝

3.सूरए नहल की यह आयतः–

وَلِلّٰہِ یَسْجُدُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّۃٍ وَّ الْمَلٰٓئِکَۃُ وَ ھُمْ لَا یَسْتَکْبِرُوْنَ۝

4.सूरए बनी इस्राईल में यह आयतः–

اِنَّ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِہٖٓ اِذَا یُتْلٰی عَلَیْھِمْ یَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ۝ وَّ یَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنْ کَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ۝ وَ یَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ یَبْکُوْنَ وَ یَزِیْدُھُمْ خُشُوْعًا۝

5.सूरए मरयम में यह आयतः–

اِذَا تُتْلٰی عَلَیْھِمْ اٰیٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّ بُکِیًّا۝

6.सूरए हज में पहली जगह जहाँ सजदे का जिक्र है यह आयत

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰہَ یَسْجُدُ لَہٗ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِی الْاَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُوْمُ وَ الْجِبَالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَآبُّ وَ کَثِیْرٌ مِّنَ النَّاسِ ؕ وَ کَثِیْرٌ حَقَّ عَلَیْہِ الْعَذَابُ ؕ وَ مَنْ یُّھِنِ اللّٰہُ فَمَا لَہٗ مِنْ مُّکْرِمٍ ؕ اِنَّ اللّٰہَ یَفْعَلُ مَا یَشَآءُ ۝

7.सूरए फुरकान में यह आयत:—

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَ مَا الرَّحْمٰنُ اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَ زَادَهُمْ نُفُوْرًا۝

8.सूरए नम्ल में यह आयत

اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِیْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَ مَا تُعْلِنُوْنَ۝ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ۝

9.सूरए सजदा में यह आयत:—

اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّ سَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ هُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ۝

10.सूरए ص में यह आयत

فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَ خَرَّ رَاكِعًا وَّ اَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ وَ اِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَ حُسْنَ مَاٰبٍ ۝

11.حٰم السجدہ में यह आयत :—

وَ مِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَ النَّهَارُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَ لَا لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ۝ فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ هُمْ لَا يَسْئَمُوْنَ ۝

12.सूरए नज्म की इस आयत में :—

فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَ اعْبُدُوْا ۝

13.सूरए इन्शिकाक में यह आयत :—

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَ اِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ۝

14.सूरए इकरा में यह आयत :—

وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ

मसअ्ला :— आयते सजदा पढ़ने या सुनने से सजदा वाजिब हो जाता है पढ़ने में यह शर्त है कि इतनी आवाज़ से हो कि अगर कोई उ़ज्र न हो तो खुद सुन सके। सुनने वाले के लिए यह ज़रूरी नहीं कि बिलकस्द (जानबूझ कर)सुनी हो,बिला कस्द (अन्जाने से) सुनने से भी सजदा वाजिब हो जाता है। (हिदाया,दुर्रे मुख़्तार वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :— सजदा वाजिब होने के लिए पूरी आयत पढ़ना ज़रूरी नहीं बल्कि वह लफ़्ज़ जिसमें सजदे का माद्दा पाया जाता है और उसके साथ कब्ल या बाद का कोई लफ़्ज़ मिला कर पढ़ना काफ़ी है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :— अगर इतनी आवाज़ से आयत पढ़ी कि सुन सकता था मगर शोर गुल होने की वजह से न सुनी तो सजदा वाजिब हो गया और अगर महज़ (सिर्फ़) होंट हिले आवाज़ पैदा न हुई तो वाजिब न हुआ। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :— कारी ने आयत पढ़ी मगर दूसरे ने न सुनी तो अगर्चे उसी मजलिस में हो उस पर सजदा वाजिब न हुआ अलबत्ता नमाज़ में इमाम ने आयत पढ़ी तो मुकतदियों पर वाजिब हो गया अगर्चे न सुनी हो बल्कि अगर्चे आयत पढ़ते वक़्त वह मौजूद भी न था बाद पढ़ने के सजदे से पहले शामिल हुआ और अगर इमाम से आयत सुनी मगर इमाम के सजदा करने के बाद उसी रकअ्त में शामिल हुआ तो इमाम का सजदा उस के लिए भी काफ़ी है और दूसरी रकअ्त से शामिल हुआ तो नमाज़ के बाद सजदा करे। यूँही अगर शामिल ही न हुआ जब भी सजदा करे।(आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— सूरए हज की आखिर आयत जिस में सजदे का ज़िक्र है उसके पढ़ने या सुनने से

सजदा वाजिब नहीं कि उसमें सजदे से मुराद नमाज़ का सजदा है अलबत्ता अगर शाफ़िई मज़हब के इमाम की इक़्तिदा की और उसने इस मौक़े पर सजदा किया तो उसकी मुताबअ़त (पैरवी)में मुक़तदी पर भी वाजिब है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– इमाम ने आयते सजदा पढ़ी और सजदा किया तो मुक़तदी भी उसकी मुताबअ़त में सजदा करेगा अगर्चे आयत न सुनी हो। (गुनिया)

मसअ्ला :– मुक़तदी ने आयते सजदा पढ़ी तो न ख़ुद उस पर सजदा वाजिब है न इमाम पर न और मुक़तदियों पर न नमाज़ में न बाद में अलबत्ता अगर दूसरे नमाज़ी ने कि उसके साथ नमाज़ में शरीक न था आयत सुनी ख़्वाह वह मुनफ़रिद हो या दूसरे इमाम का मुक़तदी या दूसरा इमाम, उन पर बादे नमाज़ सजदा वजिब है। यूँही उस पर भी वाजिब है जो नमाज़ में न हो।(आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– जो शख़्स नमाज़ में नहीं और आयते सजदा पढ़ी और नमाज़ी ने सुनी तो नमाज़ के बाद सजदा करे नमाज़ में न करे और नमाज़ ही में कर लिया तो काफ़ी न होगा नमाज़ के बाद फिर करना होगा मगर नमाज़ फ़ासिद न होगी। हाँ अगर तिलावत करने वाले के साथ सजदा किया और इत्तिबा का इरादा भी किया तो नमाज़ जाती रही। (गुनिया,आलमगीरी)

मसअ्ला :– जो शख़्स नमाज़ में न था आयते सजदा पढ़ कर नमाज़ में शामिल हो गया तो सजदा साक़ित हो गया। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– रुकूअ़ या सुजूद में आयते सजदा पढ़ी तो सजदा वाजिब हो गया और उसी रुकूअ़ या सुजूद से अदा भी हो गया और तशह्हुद में पढ़ी तो सजदा वाजिब हो गया। लिहाज़ा सजदा करे(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– आयते सजदा पढ़ने वाले पर उस वक़्त सजदा वाजिब होता है कि वह वुजूबे नमाज़ का अहल हो यानी अदा या क़ज़ा का उसे हुक्म हो, लिहाज़ा अगर काफ़िर या मजनून या नाबालिग़ या हैज व निफ़ास वाली औरत ने आयत पढ़ी तो इन पर सजदा वाजिब नहीं और मुसलमान आ़क़िल बालिग अहले नमाज़ ने इनसे सुनी तो इस पर वाजिब हो गया, और जुनून अगर एक दिन रात से ज़्यादा न हो तो मजनून पर पढ़ने या सुनने से वाजिब है। बे–वुज़ू जुनुब ने आयत पढ़ी या सुनी तो सजदा वाजिब है। नशे वाले ने आयत पढ़ी या सुनी तो सजदा वाजिब है। यूँही सोते में आयत पढ़ी बेदारी के बअ़्द उसे किसी ने ख़बर दी तो सजदा करे। नशा वाले या सोने वाले ने आयत पढ़ी तो सुनने वाले पर सजदा वाजिब हो गया। (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औरत ने नमाज़ में आयते सजदा पढ़ी और सजदा न किया यहाँ तक कि हैज़ आ गया तो सजदा साक़ित हो गया। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– नफ़्ल पढ़ने वाले ने आयत पढ़ी और सजदा भी कर लिया फिर नमाज़ फ़ासिद हो गई तो इसकी क़ज़ा में सजदे का इआ़दा नहीं और न किया था तो नमाज़ के बअ़्द अलग से करे।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– फ़ारसी या किसी और ज़बान में आयत का तर्जमा पढ़ा तो पढ़ने वाले और सुनने वाले पर सजदा वाजिब हो गया। सुनने वाले ने यह समझा हो या नहीं कि आयते सजदा का तर्जमा है। अलबत्ता यह ज़रूर है कि उसे न मअ़्लूम हो तो बता दिया गया हो कि यह आयते सजदा का तर्जमा है और आयत पढ़ी गई हो तो इसकी ज़रूरत नहीं कि सुनने वाले को आयते सजदा होना बताया गया हो। (आलमगीरी)

मसअला :– चन्द शख़्सों न एक–एक हर्फ़ पढ़ा कि सबका मजमुआ आयते सजदा हो गया तो किसी पर वाजिब न होगा। यूँही परिन्दे से आयते सजदा सुनी या जंगल या पहाड़ वग़ैरा में आवाज़ गूँजी और बिजिन्सेही आयत की आवाज़ कान में आई तो सजदा वाजिब नहीं (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– आयते सजदा पढ़ने के बाद मआज़ल्लाह मुर्तद हो गया फिर मुसलमान हुआ तो सजदा वाजिब न रहा। (आलमगीरी)

मसअला :– आयते सजदा लिखने या उसकी तरफ नज़र करने से सजदा वाजिब नहीं।(आलमगीरी,गुनिया)

मसअला :– सजदए तिलावत के लिए तहरीमा के सिवा वह तमाम शराइत हैं जो नमाज़ के लिए हैं। मसलन तहारत,इस्तिकबाले किब्ला,नियत,वक़्त उस मअ्ना पर कि आगे आता है,सत्रे औरत। लिहाज़ा अगर पानी पर कादिर है तयम्मुम कर के सजदा करना जाइज़ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार-वग़ैरा)

मसअला :– इसकी नियत में यह शर्त नहीं कि फ़ुलाँ आयत का सजदा है बल्कि मुतलकन सजदए–तिलावत की नियत काफ़ी है। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जो चीज़ें नमाज़ को फ़ासिद करती हैं उनसे सजदा भी फ़ासिद हो जायेगा मसलन हदसे अ़मद यानी जान बूझ कर सजदा करने में वुज़ू तोड़ना व कलाम (बात करना) व कहकहा (ज़ोर से हँसना)इन सब बातों से सजदा भी फ़ासिद हो जायेगा यानी फिर से सजदा करना वाजिब होगा। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– सजदे का मसनून तरीका यह है कि खड़ा होकर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदा में जाये और कम से कम तीन बार سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى कहे फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ खड़ा हो जाये। पहले, पीछे दोनों बार अल्लाहु अकबर कहना सुन्नत है और खड़े होकर सजदे में जाना और सजदे के बाद खड़ा होना यह दोनों कियाम मुस्तहब। (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार, वग़ैरा)

मसअला :– मुस्तहब यह है कि तिलावत करने वाला आगे और सुनने वाले उसके पीछे सफ़ बाँध कर सजदा करें और यह भी मुस्तहब है कि सुनने वाले उससे पहले सर न उठायें और अगर इसके ख़िलाफ़ किया मसलन अपनी–अपनी जगह पर सजदा किया अगर्चे तिलावत करने वाले के आगे या उससे पहले सजदा किया या सर उठा लिया या तिलावत करने वाले ने इस वक़्त सजदा न किया और सुनने वाले ने कर लिया तो हरज नहीं और तिलावत करने वाले का सजदा फ़ासिद हो जाये तो उनके सजदों पर इसका कुछ असर नहीं कि यह हकीकतन इक़्तिदा नहीं लिहाज़ा औरत ने अगर तिलावत की तो मर्दों की अमाम यअ्नी सजदे में आगे हो सकती है और औरत मर्द के मुहाज़ी (बराबर) हो जाये तो फ़ासिद न होगा। (आलमगीरी गुनिया)

मसअला :– अगर सजदे से पहले या बअ्द में खड़ा न हुआ या अल्लाहु अकबर न कहा या सुब्हाना न पढ़ा तो हो जायेगा मगर तकबीर छोड़ना न चाहिए कि सल्फ़ (बुजुर्गों) के ख़िलाफ़ है।(आलमगीरी)

मसअला : – अगर तन्हा सजदा करे तो सुन्नत यह है कि तकबीर इतनी आवाज़ से कहे कि ख़ुद सुन ले और दूसरे लोग भी उसके साथ हों तो मुसतहब यह है कि इतनी आवाज़ से कहे कि दूसरे भी सुनें। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– यह जो कहा गया कि सजदा तिलावत में سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى पढ़े यह फ़र्ज़ नमाज़ में है और नफ़्ल नमाज़ में सजदा किया तो चाहे यह पढ़े या और दुआयें जो अहादीस में वारिद हैं वह पढ़े

मसलन :–

سَجَدَ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ خَلَقَهٗ وَ صَوَّرَهٗ وَ شَقَّ سَمْعَهٗ وَ
بَصَرَهٗ بِحَوْلِهٖ وَ قُوَّتِهٖ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِیْنَ.

तर्जमा :– "मेरे चेहरे ने सजदा किया उसके लिये जिस ने उसे पैदा किया और उसकी सूरत बनाई और अपनी ताक़त व कुव्वत से कान और आँख की जगह फाड़ी बरकत वाला है अल्लाह जो अच्छा पैदा करने वाला है"।

या यह पढ़े :–

اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِیْ عِنْدَكَ بِهَا اَجْرًا وَّ ضَعْ عَنِّیْ بِهَا وِزْرًا وَّ اجْعَلْهَا
لِیْ عِنْدَكَ ذُخْرًا وَّ تَقَبَّلْهَا مِنِّیْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوٗدَ.

तर्जमा:– ऐ अल्लाह ! इस सजदे की वजह से तू मेरे लिये अपने नज़दीक सवाब लिख और इसकी वजह से मुझसे गुनाह को दूर कर और इसे तू मेरे लिए अपने पास ज़ख़ीरा बना और उसको तू मुझ से क़बूल कर जैसा तूने अपने बन्दे दाऊद अ़लैहिस्सलाम से क़बूल किया।

या यह कहे :–

سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا.

तर्जमा :– " पाक है हमारा रब बेशक हमारे परवरदगार का वअ़्दा होकर रहेगा"।

और अगर बैरूने नमाज़ (नमाज़ से बाहर)हो तो चाहे यह पढ़े या स़हाबा व ताबेईन से जो आसार मरवी हैं वह पढ़े मसलन इब्ने उ़मर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी है वह कहते थे:–

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدَ سَوَادِیْ وَ بِكَ اٰمَنَ فُؤَادِیْ
اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِیْ عِلْمًا یَّنْفَعُنِیْ وَ عَمَلًا یَرْفَعُنِیْ.

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह! मेरे जिस्म ने तुझे सजदा किया और मेरा दिल तुझ पर ईमान लाया। ऐ अल्लाह ! तू मुझ को इ़ल्मे नाफ़ेअ़् और अ़मले राफ़ेअ़् रोज़ी कर"। (ग़ुनिया,रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला :– सजदए तिलावत के लिए अल्लाहु अकबर कहते वक़्त न हाथ उठाना है न इसमें तशह्हुद है न सलाम। (तन्वीरूल अबस़ार)

मसअ्ला :– आयते सजदा बैरूने नमाज़ (नमाज़ के बाहर)पढ़ी तो फ़ौरन सजदा कर लेना वाजिब नहीं, हाँ बेहतर है कि फ़ौरन करे और वुज़ू हो तो ताख़ीर मक्रूहे तन्ज़ीही। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– उस वक़्त अगर किसी वजह से सजदा न कर सके तो तिलावत करने वाले और सामेअ़् (सुनने वाले) को यह कह लेना मुस्तह़ब है :–

سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَیْكَ الْمَصِیْرُ.

तर्जमा :–"हमने सुना और हुक्म माना तेरी मग़फ़िरत का सवाल करते हैं ऐ परवरदिगार! और तेरी ही तरफ़ फिरना है"।

मसअ्ला :– सजदए तिलावत नमाज़ में फ़ौरन करना वाजिब है, ताख़ीर करेगा गुनाहगार होगा और सजदा करना भूल गया तो जब तक हुरमते नमाज़ में है, कर ले (यानी कोई ऐसा काम न किया हो जो नमाज़ को तोड़ने वाला है तो सजदा करे)अगर्चे सलाम फेर चुका हो और सजदए सहव करे। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार) ताख़ीर से मुराद तीन आयत से ज़्यादा पढ़ लेना है कम में ताख़ीर नहीं मगर

आख़िर सूरत में अगर सजदा वाक़ेअ् है मसलन इन्शक़्क़त (यअ्नी सूरए इन्शक़्क़त) तो सूरत पूरी करके सजदा करेगा जब भी हरज नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– नमाज़ में आयते सजदा पढ़ी उसका सजदा नमाज़ ही में वाजिब है बैरूने नमाज़ नहीं हो सकता और क़स्दन न किया तो गुनाहगार हुआ,तौबा लाज़िम है बशर्ते कि आयते सजदा पढ़ी और सजदा न किया फिर वह नमाज़ फ़ासिद हो गई या क़स्दन फ़ासिद की तो बैरूने नमाज़ सजदा कर ले और सजदा कर लिया तो हाजत नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर आयत पढ़ने के बाद फ़ौरन नमाज़ का सजदा कर लिया यानी आयते सजदा के बाद तीन आयत से ज़्यादा न पढ़ा और रुकूअ् कर के सजदा किया तो अगर्चे सजदए तिलावत की नियत न हो अदा हो जायेगा। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– नमाज़ का सजदए तिलावत नमाज़ के सजदे से भी अदा हो जाता है और रुकूअ् से भी, मगर रुकूअ् से जब अदा होगा कि फ़ौरन करे फ़ौरन न किया तो सजदा करना ज़रूरी है और जिस रुकूअ् से सजदए तिलावत अदा किया ख़्वाह वह रुकूअ्–ए–नमाज़ हो या उसके अलावा,अगर रुकू–ए–नमाज़ है तो उस में अदाए सजदा की नियत कर ले और अगर ख़ास सजदे ही के लिए यह रुकूअ् किया तो इस रुकूअ् से उठने के बअ्द मुस्तहब यह है कि दो तीन आयतें या ज़्यादा पढ़कर रुकू–ए–नमाज़ करे फ़ौरन न करे और अगर आयते सजदा पर सूरत ख़त्म है और सजदे के लिए रुकूअ् किया तो दूसरी सूरत की आयतें पढ़ कर रुकूअ् करे। (ग़ुनिया,आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– आयते सजदा बीच सूरत में है तो अफ़ज़ल यह है कि उसे पढ़ कर सजदा करे फिर कूछ और आयतें पढ़ कर रुकूअ् करे अगर सजदा न किया और रुकूअ् कर लिया और इस रुकूअ् में अदाए सजदा की भी नियत कर ली, तो काफ़ी है और अगर न सजदा किया न रुकूअ् किया बल्कि सूरत ख़त्म कर के रुकूअ् किया तो अगर्चे नियत करे नाकाफ़ी है और जब तक नमाज़ में है सजदे की क़ज़ा कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– सजदे पर सूरत ख़त्म है और आयते सजदा पढ़ कर सजदा किया तो सजदे से उठने के बअ्द दूसरी सूरत की कुछ आयतें पढ़ कर रुकूअ् करे और बग़ैर पढ़े रुकूअ् कर दिया तो भी जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर आयते सजदा के बअ्द ख़त्म सूरत में दो तीन आयतें बाक़ी हैं तो चाहे फ़ौरन रुकूअ् कर दे या सूरत ख़त्म करने के बअ्द या फ़ौरन सजदा करे फिर बाक़ी आयतें पढ़ कर रुकूअ् में जाये या सूरत ख़त्म कर के सजदे में जाये सब तरह इख़्तियार है मगर इस सूरते अख़ीरा में सजदे से उठ कर कुछ आयतें दूसरी सूरत की पढ़ कर रुकूअ् करे। (ग़ुनिया,आलमगीरी)

मसअ्ला :– रुकूअ् में जाते वक़्त सजदे की नियत नहीं की बल्कि रुकूअ् में या उठने के बअ्द की तो यह नियत काफ़ी नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– तिलावत के बअ्द इमाम रुकूअ् में गया और सजदे की नियत कर ली मगर मुक़तदियों ने न की तो इनका सजदा अदा न हुआ। लिहाज़ा इमाम जब सलाम फेरे तो मुक़तदी सजदा कर के क़अ्दा करें और सलाम फेरें इस क़अ्दा में तशह्हुद वाजिब है अगर क़अ्दा न किया तो नमाज़ फ़ासिद हो गई कि क़अ्दा जाता रहा। यह हुक्म जहरी नमाज़ का है सिर्री में चूँकि मुक़तदी को

इल्म नहीं लिहाज़ा माज़ूर है। अगर इमाम ने रुकूअ़ से सजदए तिलावत की नियत न की तो इसी सजदए नमाज़ से मुक़तदियों का भी सजदए तिलावत अदा हो गया अगर्चे नियत न हो। लिहाज़ा इमाम को चाहिए कि रुकूअ़ में सजदे की नियत न करे, मुक़तदियों ने अगर नियत न की तो उनका सजदा अदा न होगा और रुकूअ़ के बअ़्द जब इमाम सजदा करेगा तो उससे सजदए तिलावत बहर हाल अदा हो जायेगा नियत करे या न करे फिर नियत की क्या हाजत।(आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जहरी नमाज़ में इमाम ने आयते सजदा पढ़ी तो सजदा करना औला (बेहतर)है और सिर्री में रुकूअ़ करना कि मुक़तदियों को धोका न लगे। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– इमाम ने सजदए तिलावत किया मुक़तदियों को रुकूअ़ का गुमान हुआ और रुकूअ़ में गये तो रुकूअ़ तोड़कर सजदा करें और जिसने रुकूअ़ और एक सजदा किया जब भी हो गया और अगर रुकूअ़ करके दो सजदे कर लिये तो उसकी नमाज़ गई। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मुसल्ली(नमाज़ी) सजदए तिलावत भूल गया रुकूअ़ या सजदा या क़अ़्दा में याद आया तो उसी वक़्त सजदा करे फिर जिस रुक्न में था उसकी तरफ़ लौट आये यअ़्नी रुकू में था तो सजदा करके रुकूअ़ में वापस हो और अगर उस रुक्न का इआदा न किया यअ़्नी लौटाया नहीं जब भी नमाज़ हो गई। (आलमगीरी) मगर क़अ़्द अख़ीरा का इआदा (लौटाना)फ़र्ज़ है कि सजदे से क़अ़्दा बातिल हो जाता है।

एक मज्लिस में आयते सजदा पढ़ने या सुनने के मसाइल

मसअ्ला:–एक मजलिस में सजदे की एक आयत को बार–बार पढ़ा या सुना तो एक ही सजदा वाजिब होगा अगर्चे चन्द शख़्सों से सुना हो। यूँही अगर आयत पढ़ी और वही आयत दूसरे से सुनी जब भी एक ही सजदा वाजिब होगा। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– पढ़ने वाले ने कई मजलिसों में एक आयत बार–बार पढ़ी और सुनने वाले की मजलिस न बदली तो पढ़ने वाला जितनी मजलिसों में पढ़ेगा उस पर उतने ही सजदे वाजिब होंगे और सुनने वाले पर एक और अगर इसका उलटा है यअ़्नी पढ़ने वाला एक मज्लिस में बार–बार पढ़ता रहा और सुनने वाले की मजलिस बदलती रही तो पढ़ने वाले पर एक सजदा वाजिब होगा सुनने वाले पर उतने जितनी मजलिसों में सुना। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मजलिस में वही आयत पढ़ी या सुनी और सजदा कर लिया फिर उसी मजलिस में वही आयत पढ़ी या सुनी तो वही पहला सजदा काफ़ी है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– एक मजलिस में चन्द बार आयत पढ़ी या सुनी और आख़िर में इतनी ही बार सजदा करना चाहे तो यह भी ख़िलाफ़े मुस्तहब है बल्कि एक ही बार करे ब–ख़िलाफ़ दुरूद शरीफ़ के कि नामे अक़दस लिया सुना तो एक बार दुरूद शरीफ़ वाजिब और हर बार मुस्तहब। (रद्दुल मुहतार)

मज्लिस बदलने और न बदलने की सूरतें

मसअ्ला :– दो एक लुक़मे खाने, दो एक घूँट पीने, खड़े हो जाने,दो एक क़दम चलने, सलाम का जवाब देने, दो एक बात करने, मकान के एक गोशे से दूसरे गोशे की तरफ़ चले जाने से मजलिस न बदलेगी। हाँ अगर मकान बड़ा है जैसे शाही महल तो ऐसे मकान में एक गोशे से दूसरे में जाने से मजलिस बदल जयेगी। कश्ती में है और कश्ती चल रही है मजलिस न बदलेगी। रेल का भी

यही हुक्म होना चाहिए। जानवर पर सवार है और वह चल रहा है तो मजलिस बदल रही है। हाँ अगर सवारी पर नमाज़ पढ़ रहा है तो न बदलेगी। तीन लुक़मे खाने, तीन घुँट पीने,तीन कलिमे बोलने, तीन क़दम मैदान में चलने, निकाह या ख़रीद व फ़रोख़्त, करने लेट कर सो जाने से मजलिस बदल जायेगी। (आलमगीरी,गुनिया,दुर्रे मुख़्तार वगैरा)

मसअला :– सवारी पर नमाज़ पढ़ता है और कोई शख़्स साथ चल रहा है या वह भी सवार है मगर नमाज़ में नहीं,ऐसी हालत में अगर आयत बार–बार पढ़ी तो इस पर एक सजदा वाजिब है और साथ वाले पर उतने जितनी बार सुना। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– ताना तनना(कपड़ा बुनते वक़्त कपड़ा बुनने के लिए तागा ताना जाना) नहर या हौज़ में तैरना दरख़्त की एक शाख़ से दूसरी शाख़ पर जाना,हल जोतना दायें चलाना, चक्की के बैल के पीछे फिरना,औरत का बच्चा को दूध पिलाना इन सब सूरतों में मजलिस बदल जाती है जितनी बार पढ़ेगा या सुनेगा उतने सजदे वाजिब होंगे। (गुनिया,दुर्रे मुख़्तार वग़ैरहुमा)यही हुक्म कोल्हू के बैल के पीछे चलने का होना चाहिए।

मसअला :– एक जगह बैठे–बैठे ताना तन रहा है तो मजलिस बदल रही है अगर्चे फ़तहुल क़दीर में इसके ख़िलाफ़ लिखा इसलिये कि यह अमले कसीर है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– किसी मजलिस में देर तक बैठना, क़िरात,तस्बीह व तहलील दर्स,वअ़ज़ में मशग़ूल होना मजलिस को नहीं बदलेगा और अगर दोनों बार पढ़ने के दरमियान कोई दुनिया का काम किया मसलन कपड़ा सीना वग़ैरा तो मजलिस बदल जायेगी। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– आयते सजदा नमाज़ के बाहर तिलावत की और सजदा करके फिर नमाज़ शुरूअ़ की और नमाज़ में फिर वही आयत पढ़ी तो उस के लिए दोबारा सजदा करे और अगर पहले न किया था तो यही उसके भी क़ाइम मक़ाम हो गया बशर्ते कि आयत पढ़ने और नमाज़ के दरमियान कोई अजनबी फ़ेल फ़ासिल न हो और अगर न पहले सजदा किया न नमाज़ में तो दोनों साक़ित हो गये और गुनहगार हुआ तौबा करे। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– एक रकअ़त में बार–बार वही आयत पढ़ी तो एक ही सजदा है ख्वाह चन्द बार पढ़ कर सजदा किया या एक बार पढ़ कर सजदा किया फिर दोबार,तीसरी बार आयत पढ़ी यूँही अगर एक नमाज़ की सब रकअ़तों में या दो–तीन में वही आयत पढ़ी तो सब के लिए एक सजदा काफ़ी है। (आलमगीरी)

मसअला :– नमाज़ में आयते सजदा पढ़ी और सजदा, कर लिया, फिर सलाम के बाद उसी मजलिस में वही आयत पढ़ी तो अगर कलाम न किया था तो वही नमाज़ वाला सजदा इसके भी क़ाइम मक़ाम है और कलाम कर लिया था तो दोबारा सजदा करे और अगर नमाज़ में सजदा न किया था फिर सलाम फेरने के बाद वही आयत पढ़ी तो एक सजदा कर ले नमाज़ वाला साक़ित हो गया। (ख़ानिया, आलमगीरी गुनिया, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– नमाज़ में आयते सजदा पढ़ी और सजदा किया फिर बे–वुज़ू हुआ और वुज़ू करके बिना की फिर वही आयत पढ़ी तो दूसरा सजदा वाजिब न हुआ और अगर बिना के बअ़द दूसरे से वही आयत सुनी तो दूसरा वाजिब है और यह दूसरा सजदा नमाज़ के बाद करे। (आलमगीरी)

मसअला :– एक मजलिस में सजदे की चन्द आयतें पढ़ीं तो उतने ही सजदे करे एक काफ़ी नहीं।

मसअला :– पूरी सूरत पढ़ना और आयते सजदा छोड़ देना मकरूहे तहरीमी है और सिर्फ़ आयते सजदा पढ़ने में कराहत नहीं मगर बेहतर यह है कि एक आयत पहले या बाद की मिला ले।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– सुनने वालों ने सजदे का तहय्या किया हो और सजदा करने के लिए तैयार हों और सजदा उन पर भारी न हो तो आयत बलन्द आवाज़ से पढ़ना औला है वर्ना आहिस्ता,और सुनने वालों का हाल मालूम न हो कि इरादा है कि नहीं है जब भी आहिस्ता पढ़ना बेहतर होना चाहिए। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– आयते सजदा पढ़ी गई मगर काम में मशग़ूली के सबब न सुनी तो सही यह कि सजदा वाजिब नहीं मगर बहुत से उलमा कहते हैं कि अगर्चे न सुनी सजदा वाजिब हो गया।(दुर्रे मुख़्तार)

ज़रूरी फ़ाएदा :– जिस मक़सद के लिए एक मजलिस में सजदे की सब आयतें पढ़ कर सब सजदे करे अल्लाह तआला उसका मक़सद पूरा फ़रमा देगा। ख़्वाह एक–एक आयत पढ़ कर उसका सजदा करता जाये या सब को पढ़ कर आख़िर में चौदह सजदे करे। (ग़ुनिया,दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– ज़मीन पर आयते सजदा पढ़ी तो यह सजदा सवारी पर नहीं कर सकता मगर ख़ौफ़ की हालत में हो तो हो सकता है और सवारी पर आयत पढ़ी तो सफ़र की हालत में सवारी पर भी सजदा कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअला :– मरज़ की हालत में इशारे से भी सजदा अदा हो जायेगा। यूँही सफ़र में सवारी पर इशारे से हो जायेगा। (आलमगीरी,वग़ैरा)

मसअला :– जुमा व ईदैन व दूसरी नमाज़ों में और जिस नमाज़ में भारी जमाअत हो आयते सजदा इमाम को पढ़ना मकरूह है। हाँ अगर आयत के बाद फ़ौरन रुकूअ् व सुजूद कर दे और रुकूअ् में नियत न करे तो कराहत नहीं। (ग़ुनिया, दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

सजदए शुक्र के कुछ मौक़े

मसअला :– सजदा शुक्र मसलन औलाद पैदा हुई या माल पाया या गुमी हुई चीज़ मिल गई या मरीज़ ने शिफ़ा पाई या मुसाफ़िर वापस आया ग़रज़ किसी नेअ्मत पर सजदा करना मुस्तहब है और इसका तरीक़ा वही है जो सजदए तिलावत का है। (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– सजदा बे–सबब जैसा अक्सर अवाम करते हैं न सवाब न मकरूह।

नमाज़े मुसाफ़िर का बयान

अल्लाह तआला फ़रमाता है :–

وَ اِذَا ضَرَبْتُمْ فِی الْاَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ

تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ یَّفْتِنَكُمُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا.

तर्जमा :–"जब तुम ज़मीन में सफ़र करो तो तुम पर इसका गुनाह नहीं कि नमाज़ में क़स्र करो अगर ख़ौफ़ हो कि काफ़िर तुम्हें फ़ितने में डालेंगे"।

हदीस न.1 :– सही मुस्लिम शरीफ़ में है यअ्ला इब्ने उमय्या रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं अमीरुल मोमिनीन फ़ारूके आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु से मैंने अर्ज़ की कि अल्लाह तआला ने तो यह फ़रमाया। اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ یَّفْتِنَكُمُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا

तर्जमा :– " क़स्र करो नमाज़ का अगर तुम लोग डरते हो कि फ़ितने में डाल देंगे तुम लोगों को काफ़िर लोग"।

और अब तो लोग अमन में हैं (यअ्नी अमन की हालत में क़स्र नहीं होना चाहिए)फ़रमाया इसका मुझे भी तअ़ज्जुब हुआ था मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से सवाल किया। इरशाद फ़रमाया एक सदक़ा है कि अल्लाह तआ़ला ने तुम पर तसद्दुक़ फ़रमाया उसका सदक़ा कबूल करो।

हदीस न.2 :– सही बुख़ारी व सही मुस्लिम में मरवी कि हारिसा इब्ने वहब ख़ुज़ाई रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने मिना में दो रकअ़त नमाज़ पढ़ाई हालाँकि न हमारी इतनी ज़्यादा तादाद कभी थी न इस क़द्र अमन।

हदीस न.3 :– सहीहैन में अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने मदीने में ज़ोहर की चार रकअ़तें पढ़ीं और ज़ुलहुलैफ़ा में अ़स्र की दो रकअ़तें। (मदीनए मुनव्वरा से तीन मील के फ़ासिले पर एक मक़ाम का नाम है यह असह है)(मिरक़ात)

हदीस न.4 :– तिर्मिज़ी शरीफ़ में अ़ब्दुल्ला इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कहते हैं मैंने नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के साथ हज़र (जहाँ पर आदमी का असली मक़ाम हो या ऐसी जगह जहाँ पन्द्रह दिन ठहरने का इरादा हो)व सफ़र दोनों में नमाज़ें पढ़ीं। हज़र में हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के साथ ज़ोहर की चार रकअ़तें पढ़ीं और इसके बाद दो रकअ़त और सफ़र में ज़ोहर की दो और इस के बाद दो रकअ़त और अ़स्र की दो और इसके बाद कुछ नहीं और मग़रिब की हज़र व सफ़र में बराबर तीन रकअ़तें सफ़र व हज़र किसी में नमाज़े मग़रिब की क़स्र न फ़रमाते और इसके बाद दो रकअ़त।

हदीस न.5 :– सहीहैन में उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से मरवी फ़रमाती हैं नमाज़ दो रकअ़त फ़र्ज़ की गई जब हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने हिजरत फ़रमाई तो चार फ़र्ज़ कर दी गई और सफ़र की नमाज़ उसी पहले फ़र्ज़ पर छोड़ी गई।

हदीस न.6 :– सही मुस्लिम शरीफ़ में अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कहते हैं कि अल्लाह तआ़ला ने नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ज़बानी हज़र में चार रकअ़तें फ़र्ज़ कीं और सफ़र में दो और ख़ौफ़ में एक यानी इमाम के साथ।

हदीस न.7 :– इब्ने माजा ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने नमाज़े सफ़र की दो रकअ़तें मुक़र्रर फ़रमाईं और यह पूरी हैं कम नहीं यअ्नी अगर्चे बज़ाहिर दो रकअ़तें कम हो गईं मगर सवाब में यह दो ही चार के बराबर हैं।

मसाइले फ़िक़्हिय्यह

शरअ़न मुसफ़िर वह शख़्स है जो तीन दिन की राह तक जाने के इरादे से बस्ती से बाहर हुआ।

मसअ्ला :– दिन से मुराद साल का सब में छोटा दिन और तीन दिन की राह से यह मुराद नहीं कि सुबह से शाम तक चले कि खाने, पीने, नमाज़ और दीगर ज़रूरियात के लिए ठहरना ज़रूरी है बल्कि मुराद दिन का अकसर हिस्सा है मसलन शुरूअ़ सुबह से दोपहर ढलने तक चला फिर ठहर गया फिर दूसरे और तीसरे दिन यूँही किया तो इतनी दूर तक की राह को मुसाफ़ते सफ़र(सफ़र की

दूरी)कहेंगे। दोपहर के बअ्द तक चलने में भी बराबर चलना मुराद नहीं बल्कि आदतन जितना आराम लेना चाहिये उस क़दर इस दरमियान में ठहरता भी जाये और चलने से मुराद मोअ्तदिल (दरमियानी)चाल है कि न तेज़ हो न सुस्त, खुश्की में आदमी और ऊँट की दरमियानी चाल का एअ्तिबार है और पहाड़ी रास्ते में इसी हिसाब से जो उसके लिए मुनासिब हो और दरिया में कश्ती की चाल उस वक़्त की कि हवा न रुकी हो न तेज़। (दुर्रे मुख़्तार,आलमगीरी,वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– साल का छोटा दिन उस जगह मोअ्तबर है जहाँ रात दिन मोअ्तदिल(बराबर)हों यानी छोटे दिन के अकसर हिस्से में मन्ज़िल तय कर सकते हों। लिहाज़ा जिन शहरों में बहुत छोटा दिन होता है जैसे बुलग़ारिया कि वहाँ बहुत छोटा दिन होता है। लिहाज़ा वहाँ के दिन का एअ्तिबार नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– कोस का एअ्तिबार नहीं कि कोस कहीं छोटे होते हैं कहीं बड़े बल्कि एअ्तिबार तीन मंजिलों का है और खुश्की में मील के हिसाब से इसकी मिक़दार $57\frac{3}{8}$ मील है। (फ़तावा रज़विया)

मसअ्ला :– किसी जगह जाने के दो रास्ते हैं एक से मसाफ़ते सफ़र है दूसरे से नहीं तो जिस रास्ते से यह जायेगा उस का एअ्तिबार है नज़दीक वाले रास्ते से गया तो मुसाफ़िर नहीं और दूर वाले से गया तो है अगर्चे उस रास्ते कि इख़्तियार करने में उसकी कोई सही ग़रज़ न हो।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी जगह जाने के दो रास्ते हैं एक दरिया का दूसरा खुश्की का। इनमें एक दो दिन का है दूसरा तीन दिन का। तीन दिन वाले से जाये तो मुसाफ़िर है वर्ना नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– तीन दिन की राह को तेज़ सवारी पर दो दिन या कम में तय करे तो मुसाफ़िर ही है और तीन दिन से कम के रास्ते को ज़्यादा दिनों में तय किया तो मुसाफ़िर नहीं।(दुर्रे मुख़्तार,आलमगीरी)

मसअ्ला :– तीन दिन की राह को किसी वली ने अपनी करामत से बहुत थोड़े ज़माने में तय किया तो ज़ाहिर यही है कि मुसाफ़िर के अहकाम उसके लिए साबित हों मगर इमाम इब्ने हुमाम ने उसका मुसाफ़िर होना मुसतबइद फ़रमाया यानी उसे मुसाफ़िर नहीं माना।

मसअ्ला :– महज़ सफ़र की नियत कर लेने से मुसाफ़िर न होगा बल्कि मुसाफ़िर का हुक्म उस वक़्त से है कि बस्ती की आबादी से बाहर हो जाये शहर में है तो शहर से गाँव में हैं तो गाँव से,और शहर वाले के लिए यह भी ज़रूरी है कि शहर के आस–पास जो आबादी शहर से मुत्तसिल (मिली हुई) है उससे भी बाहर हो जाये। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– फ़नाए शहर से जो गाँव मुत्तसिल हैं शहर वाले के लिए उस गाँव से बाहर हो जाना ज़रूरी नहीं। यूँही शहर से मिले हुए बाग़ हों अगर्चे उनके निगहबान और काम करने वाले उनमें रहते हों उन बाग़ों से निकल जाना ज़रूरी नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– फ़नाए शहर यानी शहर से बाहर की वह जगह जो शहर के कामों के लिए हो मसलन क़ब्रिसतान,घुड़दौड़ का मैदान कूड़ा फेंकने की जगह अगर यह शहर से मुत्तसिल हों तो इनसे बाहर हो जाना ज़रूरी है और अगर शहर व फ़ना के दरमियान फ़ासिला हो तो नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– आबादी से बाहर होने से मुराद यह है कि जिधर जा रहा है उस तरफ़ आबादी ख़त्म हो जाये अगर्चे उसकी मुहाज़ात (मुक़ाबिल)में दूसरी तरफ़ ख़त्म न हुई हों। (ग़ुनिया)

मसअ्ला :– कोई मुहल्ला पहले शहर से मिला हुआ था मगर अब जुदा हो गया तो उससे बाहर

होना भी ज़रूरी है और जो मुहल्ला वीरान हो गया ख़्वाह शहर से पहले मुत्तसिल था या अब भी मुत्तसिल है उस से बाहर होना शर्त नहीं (गुनिया,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– स्टेशन जहाँ आबादी से बाहर हो तो स्टेशन पर पहुँचने से मुसाफ़िर हो जायेगा जबकि मसाफ़ते सफ़र तक जाने का इरादा हो।

मसअ्ला :– सफ़र के लिए यह भी ज़रूरी है कि जहाँ से चले वहाँ से तीन दिन की राह का इरादा हो और अगर दो दिन की राह के इरादे से निकला और वहाँ पहुँच कर दूसरी जगह का इरादा हुआ कि वह भी तीन दिन से कम का रास्ता है यूँही सारी दुनिया घूम आये मुसाफ़िर नहीं। (गुनिया,दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :– यह भी शर्त है कि तीन दिन का इरादा मुत्तसिल सफ़र (यानी एक साथ लगातार सफ़र) का हो अगर यूँ इरादा किया कि मसलन दो दिन की राह पर पहुँच कर कुछ काम करना है वह कर के फिर एक दिन की राह जाऊँगा तो तीन दिन की राह का मुत्तसिल इरादा न हुआ,मुसाफ़िर न हुआ। (फ़तावा रज़विया)

मसअ्ला :– मुसाफ़िर पर वाजिब है कि नमाज़ में क़स्र करे यअ्नी चार रकअ्त वाले फ़र्ज़ को दो पढ़े। उसके हक़ में दो ही रकअ्तें पूरी नमाज़ हैं और क़स्दन चार पढ़ीं और दो पर क़अ्दा किया तो फ़र्ज़ अदा हो गये और पिछली दो रकअ्तें नफ़्ल हुईं मगर गुनाहगार व मुस्तहिके नार हुआ कि वाजिब छोड़ा लिहाज़ा तौबा करे और दो रकअ्त पर क़अ्दा न किया तो फ़र्ज़ अदा न हुए और वह नमाज़ नफ़्ल हो गई। हाँ अगर तीसरी रकअ्त का सजदा करने से पहले इक़ामत की नियत कर ली तो फ़र्ज़ बातिल न होंगे मगर क़ियाम व रुकूअ् का इआ़दा (लौटाना) करना होगा और अगर तीसरी के सजदे में नियत की तो अब फ़र्ज़ जाते रहे। यूँही अगर पहली दोनों या एक में किरात न की नमाज़ फ़ासिद हो गई। (हिदाया,आ़लमगीरी,दुर्रेमुख़्तार वग़ैरहुम)

मसअ्ला :– यह रुख़सत कि मुसाफ़िर के लिए है मुतलक़ है उसका सफ़र जाइज़ काम के लिए हो या नाजाइज़ के लिए बहरहाल मुसाफ़िर के अहकाम उसके लिए साबित होंगे। (आ़म्मए कुतुब)

मसअ्ला :– काफ़िर तीन दिन की राह के इरादे से निकला दो दिन के बाद मुसलमान हो गया तो उसके लिये क़स्र है और नाबालिग़ तीन दिन की राह के इरादे से निकला और रास्ते में बालिग़ हो गया,अब से जहाँ जाना है तीन दिन की राह न हो तो पूरी पढ़े। हैज़ वाली पाक हुई और अब से तीन दिन की राह न हो तो पूरी पढ़े। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– बादशाह ने रिआ़या का हाल जानने के लिए मुल्क में सफ़र किया तो क़स्र न करे जबकि पहला इरादा मुत्तसिल तीन मंज़िल का न हो और अगर किसी और ग़रज़ के लिए हो और मसाफ़ते सफ़र हो तो क़स्र करे। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– सुन्नतों में क़स्र नहीं बल्कि पूरी पढ़ी जायेंगी अलबत्ता ख़ौफ़ और रवारवी (जल्दी)की हालत में माफ़ हैं और अमन की हालत में पढ़ी जायें। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुसाफ़िर उस वक़्त तक मुसाफ़िर है जब तक अपनी बस्ती में पहुँच न जाये या आबादी में पूरे पन्द्रह दिन ठहरने की नियत न करे। यह उस वक़्त है जब तीन दिन की राह चल चुका हो और अगर तीन मन्ज़िल पहुँचने से पहले वापसी का इरादा कर लिया तो मुसाफ़िर न रहा अगर्चे जंगल में हो। (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— नियते इक़ामत (ठहरने की नियत)सही होने के लिए छःशर्ते हैं :—
1.चलना तर्क करे अगर चलने की हालत में इक़ामत की नियत की तो मुक़ीम नहीं ।
2. वह जगह इक़ामत की सलाहियत रखती हो। जंगल या दरिया या ग़ैर आबाद टापू में इक़ामत की नियत की मुक़ीम न हुआ। 3. पन्द्रह दिन ठहरने की नियत हो इससे कम ठहरने की नियत से मुक़ीम न होगा। 4. यह नियत एक ही जगह ठहरने की हो अगर दो मौज़ों में पन्द्रह दिन ठहरने का इरादा हो मसलन एक में दस दिन दूसरे में पाँच दिन तो मुक़ीम न होगा। 5. अपना इरादा मुस्तक़िल रखता हो यअ्नी किसी का ताबेअ् न हो। 6. उसकी हालत उसके इरादे के मुनाफ़ी (ख़िलाफ़) न हो। (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :— मुसाफ़िर जा रहा है और अभी शहर या गाँव में पहुँचा नहीं और इक़ामत की नियत कर ली तो मुक़ीम न हुआ और पहुँचने के बअ्द नियत की तो हो गया अगर्चे अभी मकान वग़ैरा की तलाश में फिर रहा हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला :— मुसलमानों का लश्कर किसी जंगल में पड़ाव डाल दे और डेरा ख़ेमा नसब कर के पन्द्रह दिन ठहरने की नियत करे तो मुक़ीम न हुआ और जो लोग जंगल में ख़ेमों में रहते हैं वह अगर जंगल में ख़ेमा डाल कर पन्द्रह दिन की नियत से ठहरें मुक़ीम हो जायेंगे बशर्ते कि वहाँ पानी और घास वग़ैरा दस्तयाब हों कि उनके लिये जंगल वैसा ही है जैसा हमारे लिए शहर और गाँव।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— दो जगह पन्द्रह दिन ठहरने की नियत की और दोनों मुस्तक़िल (अलग—अलग)हों जैसे मिना व मक्का तो मुक़ीम न हुआ और एक दूसरे की ताबेअ् हों जैसे शहर और उसकी फ़ना यानी शहर से बाहर की वह जगह जो शहर के कामों के लिए हो मसलन क़ब्रिस्तान, घुड़दौड़ का मैदान, कूड़ा फेंकने की जगह तो मुक़ीम हो गया। (आलमगीरी)

मसअ्ला :— यह नियत की कि इन दो बस्तियों में पन्द्रह रोज़ ठहरेगा। एक जगह दिन में रहेगा और दूसरी जगह रात में तो अगर पहले वहाँ गया जहाँ दिन में ठहरने का इरादा है तो मुक़ीम न हुआ और अगर पहले वहाँ गया जहाँ रात में रहने का इरादा है तो मुक़ीम हो गया फिर यहाँ से दूसरी बस्ती में गया जब भी मुक़ीम है। (आलमगीरी रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :— मुसाफ़िर अगर अपने इरादे में मुस्तक़िल न हो तो पन्द्रह दिन की नियत से मुक़ीम न होगा मसलन औरत जिसका महरे मुअ़ज्जल शौहर के जिम्मे में बाक़ी न हो कि यह शौहर की ताबेअ् है उसकी अपनी नियत बेकार है और गुलाम ग़ैर मुकातिब (ग़ैर मुकातिब उस गुलाम को कहते हैं जिससे यह न कहा हो कि इतना रुपया कमा कर दे दो तो तुम आज़ाद हो) कि अपने मालिक का ताबेअ् है और लश्करी जिसको बैतुलमाल या बादशाह की तरफ़ से खुराक मिलती है कि अपने सरदार का ताबेअ् है और नौकर कि यह अपने आक़ा का ताबेअ् है और क़ैदी कि यह क़ैद करने वाले का ताबेअ् है और जिस मालदार पर तावान लाज़िम आया और शागिर्द जिन के उस्ताद के यहाँ से खाना मिलता है कि यह अपने उस्ताद का ताबेअ् है और नेक बेटा अपने बाप का ताबे है,इन सबकी अपनी नियत बेकार है बल्कि जिसके ताबेअ् हैं उनकी नियतों का एअ्तिबार है उनकी नियत इक़ामत की है तो ताबेअ् भी मुक़ीम है उनकी नियत इक़ामत की नहीं तो यह भी मुसाफ़िर हैं। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार आलमगीरी)

मसअला :– औरत का महरे मुअज्जल बाकी है तो उसे इख़्तियार है कि अपने नफ़्स को रोक ले। लिहाज़ा इस वक़्त ताबेअ् नहीं यूँही मुकातिब ग़ुलाम को बग़ैर मालिक की इजाज़त के सफ़र का इख़्तियार है। लिहाज़ा ताबेअ् नहीं और जो सिपाही बादशाह या बैतुलमाल से ख़ुराक नहीं लेता वह ताबेअ् नहीं और अजीर(नौकर)जो महीना या साल पर नौकर नहीं बल्कि रोज़ाना उसका मुक़र्रर है वह दिन भर काम करने के बअ्द इजारा फस्ख़ कर सकता है लिहाज़ा ताबे नहीं और जिस मुसलमान को दुश्मन ने क़ैद किया और अगर मअ्लूम न हो तो उससे दरयाफ़्त करे जो बताये उसके मुवाफ़िक़ अमल करले और अगर न बताये तो अगर मालूम है कि वह दुश्मन मुक़ीम है तो पूरी पढ़े और मुसाफ़िर है तो क़स्र करे और यह भी मालूम न हो सके तो जब तक तीन दिन की राह तय न करे पूरी पढ़े और जिस पर तावान लाज़िम आया वह सफ़र में था और पकड़ा गया अगर नादार (ग़रीब)है तो क़स्र करे और मालदार है और पन्द्रह दिन के अन्दर देने का इरादा है या कुछ इरादा नहीं जब भी क़स्र करे और यह इरादा है कि नहीं देगा तो पूरी पढ़े। (रद्दुल मुहतार वग़ैरा)

मसअला :– ताबेअ् को चाहिए कि मतबूअ् (वह शख़्स जिसके ताबे है उसे मतबूअ् कहते हैं) से सवाल करे वह जो कहे उसके मुताबिक़ अमल करे और अगर उसने कुछ न बताया तो देखे कि मुक़ीम है या मुसाफ़िर,अगर मुक़ीम है तो अपने को मुक़ीम समझे और मुसाफ़िर है तो मुसाफ़िर और यह भी न मालूम हों तो तीन दिन की राह तय करने के बाद क़स्र करे।

मसअला:–अन्धे के साथ कोई हाथ पकड़ कर ले जाने वाला है अगर वह उसका नौकर है तो नाबीना(अंधा)की अपनी नियत का एअ्तिबार है और अगर महज़ एहसान के तौर पर उसके साथ है तो इसकी नियत का एअ्तिबार है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जो सिपाही सरदार का ताबेअ् था और लश्कर को शिकस्त हुई और सब मुतफ़र्रिक (अलग–अलग) हो गये तो अब ताबे नहीं बल्कि इक़ामत व सफ़र में खुद इसकी अपनी नियत का लिहाज़ है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– ग़ुलाम अपने मालिक के साथ सफ़र में था मालिक ने किसी मुक़ीम के हाथ उसे बेच डाला अगर नमाज़ में उसे इसका इल्म था और दो पढ़ीं तो फिर पढ़े यूँही अगर ग़ुलाम नमाज़ में था और मालिक ने इक़ामत की नियत कर ली अगर जानकर दो पढ़ीं तो फिर पढ़े।(रद्दुल मुहतार)

मसअला :– ग़ुलाम दो शख़्सों में मुशतरक (शामिल) है और वह दोनों सफ़र में हैं,एक ने इक़ामत की नियत की दूसरे ने नहीं तो अगर उस ग़ुलाम से ख़िदमत लेने में बारी मुक़र्रर है तो मुक़ीम की बारी के दिन चार पढ़े और मुसाफ़िर की बारी के दिन दो और बारी मुक़र्रर न हो तो हर रोज़ चार पढ़े और दो रकअ्त पर क़अ्दा फ़र्ज़ है (आलमगीरी)

मसअला :– जिसने इक़ामत की मगर उसकी हालत बताती है कि पन्द्रह दिन न ठहरेगा तो नियत सही नहीं मसलन हज करने गया और शुरूअ् ज़िलहिज्जा में पन्द्रह दिन मक्का मुअ़ज़्ज़मा में ठहरने का इरादा किया तो यह नियत बेकार है कि जब हज का इरादा है तो अरफ़ात व मिना को ज़रूर जायेगा फिर इतने दिनों में मक्का मुअ़ज़्ज़मा में क्यों कर ठहर सकता है और मिना से वापस हो कर नियत करे तो सही है। (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– जो शख़्स कहीं गया और वहाँ पन्द्रह दिन ठहरने का इरादा नहीं मगर क़ाफ़िले के

साथ जाने का इरादा है और यह मअ्लूम है कि काफ़िला पन्द्रह दिन के बअ्द जायेगा तो वह मुक़ीम है अगर्चे इक़ामत की नियत नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मुसाफ़िर किसी काम के लिए या साथियों के इन्तिज़ार में दो–चार रोज़ या तेरह–चौदह दिन की नियत से ठहरा या यह इरादा है कि काम हो जायेगा तो चला जायेगा और दोनों सूरतों में अगर आजकल–आजकल करते बरसों गुज़र जायें जब भी मुसाफ़िर ही है नमाज़े क़स्र पढ़े। (आलमगीरी,वग़ैरा)

मसअ्ला :– मुसलमानों का लश्कर दारुलहरब को गया या दारुलहरब में किसी क़िले का मुहासरा (घिराव)किया तो मुसाफ़िर ही है अगर्चे पन्द्रह दिन की नियत कर ली हो अगर्चे ज़ाहिर ग़लबा हो,यूँही अगर दारुल इस्लाम में बाग़ियों का मुहासरा किया हो तो मुक़ीम नहीं और जो शख़्स दारुलहरब में अमान लेकर गया और पन्द्रह दिन की इक़ामत की नियत की तो चार पढ़े(ग़ुनिया,दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– दारुलहरब का रहने वाला वहीं मुसलमान हो गया और कुफ़्फ़ार उसके मार डालने की फ़िक्र में हुए वह वहाँ से तीन दिन की राह का इरादा करके भागा तो नमाज़ क़स्र करे और कहीं दो–एक माह के इरादे से छुप गया जब भी क़स्र पढ़े और अगर उसी शहर में छुपा तो पूरी पढ़े और अगर मुसलमान दारुलहरब में क़ैद था वहाँ से भाग कर किसी ग़ार में छुपा तो क़स्र पढ़े अगर्चे पन्द्रह दिन का इरादा हो,और अगर दारुलहरब के किसी शहर के तमाम रहने वाले मुसलमान हो जायें और हर्बियों ने उनसे लड़ना चाहा तो वह सब मुक़ीम ही हैं। यूँही अगर कुफ़्फ़ार उनके शहर पर ग़ालिब आये और यह लोग शहर छोड़ कर एक दिन की राह के इरादे से चले गये जब भी मुक़ीम हैं और तीन दिन की राह का इरादा हो तो मुसाफ़िर फिर अगर वापस आये और कुफ़्फ़ार ने उनके शहर पर क़ब्ज़ा न किया हो तो मुक़ीम हो गये और अगर मुश्रिकों का शहर पर क़ब्ज़ा हो गया और वहाँ रहे भी मगर, मुसलमानों के वापस आने पर छोड़ दिया तो अगर यह लोग वहाँ रहना चाहें तो दारुल इस्लाम हो गया, नमाज़ें पूरी करें और अगर वहाँ रहने का इरादा नहीं बल्कि सिर्फ़ एक–आध महीना रह कर दारुल इस्लाम को चले जायेंगे तो क़स्र करें। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुसलमानों का लश्कर दारुलहरब में गया और ग़ालिब आया और उस शहर को दारुल इस्लाम बनाया तो क़स्र न करें और अगर महज़ दो–एक माह रहने का इरादा है तो करें।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुसाफ़िर ने नमाज़ के अन्दर इक़ामत की नियत की तो यह नमाज़ भी पूरी पढ़े और अगर यह सूरत हुई कि एक रकअ्त पढ़ी थी कि वक़्त ख़त्म हो गया और दूसरी में इक़ामत की नियत की तो यह नमाज़ दो ही रकअ्त पढ़े इसके बाद की चार पढ़े,यूँही अगर मुसाफ़िर लाहिक़ था और इमाम भी मुसाफ़िर था इमाम के सलाम के बाद नियते इक़ामत की तो दो ही पढ़े और इमाम के सलाम से पहले इक़ामत की नियत की तो चार पढ़े। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मुसाफ़िर और मुक़ीम की इक़्तिदा के मसाइल

मसअ्ला :– अदा व क़ज़ा दोनों में मुक़ीम, मुसाफ़िर की इक़्तिदा कर सकता है और इमाम के सलाम के बअ्द अपनी बाक़ी दो रकअ्तें पढ़ ले और इन रकअ्तों में क़िरात बिल्कुल न करे बल्कि बक़द्रे फ़ातिहा चुप खड़ा रहे। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– इमाम मुसाफ़िर है और मुक़तदी मुक़ीम, इमाम के सलाम से पहले मुक़तदी खड़ा हो

गया और सलाम से पहले इमाम ने इकामत की नियत कर ली तो अगर मुक़तदी ने तीसरी का सजदा न किया हो तो इमाम के साथ हो ले वरना नमाज़ जाती रही और तीसरी के सजदे के बाद इमाम ने इकामत की नियत की तो मुताबअ़त न करे मुताबअ़त करेगा तो नमाज़ जाती रहेगी। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– यह पहले मालूम हो चुका है कि नमाज़ के सही होने का हुक्म इक़्तिदा के लिए शर्त है कि इमाम मुक़ीम या मुसाफिर का होना मअ्लूम हो ख़्वाह नमाज़ शुरूअ् करते मालूम हुआ हो या बाद में।

मसअ्ला :– लिहाज़ा इमाम को चाहिए कि शुरूअ् करते वक़्त अपना मुसाफ़िर होना ज़ाहिर कर दे और शुरू में न कहा तो बादे नमाज़ कह दे कि अपनी नमाज़ पूरी कर लो मैं मुसाफिर हूँ। (दुर्रे मुख़्तार) और शुरूअ् में कह दिया है जब भी बाद में कह दे कि जो लोग उस वक़्त मौजूद न थे उन्हें भी मअ्लूम हो जाये।

मसअ्ला :– वक़्त ख़त्म होने के बअ्द मुसाफ़िर मुक़ीम की इक़्तिदा नहीं कर सकता वक़्त में कर सकता है और इस सूरत में मुसाफ़िर के फ़र्ज़ भी चार हो गये यह हुक्म चार रकअ्ती नमाज़ का है और जिन नमाज़ों में क़स्र नहीं उनमें वक़्त व बादे वक़्त दोनों सूरतों में इक़्तिदा कर सकता है वक़्त में इक़्तिदा की थी नमाज़ पूरी करने से पहले वक़्त ख़त्म हो गया जब भी इक़्तिदा सही है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मुसाफ़िर ने मुक़ीम की इक़्तिदा की और इमाम के मज़हब के मुवाफ़िक़ वह नमाज़ क़ज़ा है और मुक़तदी के मज़हब पर अदा मसलन इमाम शाफ़िई मज़हब का है और मुक़तदी हनफ़ी और एक मिस्ल के बअ्द ज़ोहर की नमाज़ उसने उसके पीछे पढ़ी तो इक़्तिदा सही है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मुसाफ़िर ने मुक़ीम के पीछे शुरूअ् कर के फ़ासिद कर दी तो अब दो ही पढ़ेगा यानी जबकि तन्हा पढ़े या किसी मुसाफिर की इक़्तिदा करे और फिर मुक़ीम की तो चार पढ़े। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मुसाफ़िर ने मुक़ीम की इक़्तिदा की तो मुक़तदी पर भी क़अ्दए ऊला वाजिब हो गया, फ़र्ज़ न रहा तो अगर इमाम ने क़अ्दा न किया नमाज़ फ़ासिद न हुई और मुक़ीम ने मुसाफिर की इक़्तिदा की तो मुक़तदी पर भी क़अ्दए ऊला फ़र्ज़ हो गया। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– क़स्र और पूरी पढ़ने में आख़िर वक़्त का एअ्तिबार है जबकि पढ़ न चुका हो, फ़र्ज़ करो कि किसी ने नमाज़ न पढ़ी थी और वक़्त इतना बाक़ी रह गया है कि अल्लाहु अकबर कह ले अब मुसाफ़िर हो गया तो क़स्र करे और मुसाफ़िर था इस वक़्त इकामत की नियत की तो चार पढ़े। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ज़ोहर की नमाज़ वक़्त में पढ़ने के बअ्द सफ़र किया और अ़स्र की दो पढ़ीं फिर किसी ज़रूरत से मकान पर वापस आया और अभी अ़स्र का वक़्त बाक़ी है अब मअ्लूम हुआ कि दोनों नमाज़ें बे–वुज़ू हुईं तो ज़ोहर की दो पढ़े और अ़स्र की चार, और अगर ज़ोहर व अ़स्र की पढ़ कर आफ़ताब डूबने से पहले सफ़र किया और मअ्लूम हुआ कि दोनों नमाज़ें बे–वुज़ू पढ़ी थीं तो ज़ोहर की चार पढ़े और अ़स्र की दो। (रद्दुलमुहतार, आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुसाफ़िर को सहव हुआ और दो रकअ्त पर सलाम फेरने के बाद नियते इकामत की, इस नमाज़ के हक़ में मुक़ीम न हुआ और सजदए सहव साक़ित हो गया और सजदा करने के बअ्द नियत की तो सही है और चार रकअ्त पढ़ना फ़र्ज़, अगर्चे एक ही सजदे के बअ्द नियत की। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुसाफ़िर ने मुसाफ़िरों की इमामत की नमाज़ के बीच में इमाम बे–वुज़ू हुआ और

किसी मुसाफ़िर को ख़लीफ़ा किया ख़लीफ़ा ने इक़ामत की नियत की तो उसके पीछे जो मुसाफ़िर हैं उनकी नमाज़ें दो ही रकअ्त रहेंगी,यूँही अगर मुक़ीम को ख़लीफ़ा किया जब भी मुक़तदी मुसाफ़िर दो ही पढ़ें और अगर इमाम ने हदस के बअ्द मस्जिद से निकलने के पहले इक़ामत की नियत की तो चार पढ़ें। (आलमगीरी)

असली वतन और वतने इक़ामत के मसाइल

मसअ्ला :– वतन दो क़िस्म के हैं असली और वतने इक़ामत। वतने असली वह जगह है जहाँ उसकी पैदाइश है या उसके घर के लोग वहाँ रहते हैं या वहाँ सुकूनत कर ली और यह इरादा है कि यहाँ से न जायेगा। वतने इक़ामत वह जगह है कि मुसाफ़िर ने पन्द्रह दिन या इससे ज़्यादा ठहरने का वहाँ इरादा किया हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुसाफ़िर ने कहीं शादी कर ली अगर्चे वहाँ पन्द्रह दिन ठहरने का इरादा न हो। मुक़ीम हो गया और दो शहरों में इसकी दो औरतें रहती हों तो दोनों जगह पहुँचते ही मुक़ीम हो जायेगा।

मसअ्ला :– एक जगह आदमी का वतने असली है अब उसने दूसरी जगह वतने असली बनाया अगर पहली जगह बाल–बच्चे मौजूद हों तो दोनों असली हैं वरना पहला असली न रहा ख़्वाह इन दोनों जगहों के दरमियान मसाफ़ते सफ़र (सफ़र की दूरी)हो या न हो (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– वतने इक़ामत दूसरे वतने इक़ामत को बातिल कर देता है यानी एक जगह पन्द्रह दिन के इरादे से ठहरा फ़िर दूसरी जगह इतने ही दिन के इरादे से ठहरा तो पहली जगह अब वतन न रही दोनों के दरमियान मसाफ़ते सफ़र हो या न हो यूँही वतने इक़ामत, वतने असली व सफ़र से बातिल हो जाता है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– अगर अपने घर के लोगों को लेकर दूसरी जगह चला गया और पहली जगह मकान व असबाब (सामान)वग़ैरा बाक़ी हैं तो वह भी वतने असली है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– वतने इक़ामत के लिए यह ज़रूरी नहीं कि तीन दिन के सफ़र के बाद वहाँ इक़ामत की हो बल्कि अगर मुद्दते सफ़र तय करने से पहले इक़ामत कर ली वतने इक़ामत हो गया। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– बालिग़ के वालिदैन किसी शहर में रहते हैं और वह शहर इसकी पैदाइश की जगह नहीं न इसके घर वाले वहाँ हों तो वह जगह इसके लिए वतन नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मुसाफ़िर जब वतने असली में पहुँच गया सफ़र ख़त्म हो गया अगर्चे इक़ामत की नियत न की हो। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– औरत बियाह कर सुसराल गई और यहीं रहने–सहने लगी तो मयका उसके लिए वतने असली न रहा यानी अगर सुसराल तीन मन्ज़िल पर है वहाँ से मयका आई और पन्द्रह दिन ठहरने की नियत न की तो क़स्र पढ़े और अगर मयका रहना नहीं छोड़ा बल्कि सुसराल आरिज़ी तौर पर गई तो मयका आते ही सफ़र ख़त्म हो गया नमाज़ पूरी पढ़े।

मसअ्ला :– औरत को बग़ैर महरम के तीन दिन या ज़्यादा राह जाना नाजाइज़ है बल्कि एक दिन की राह जाना भी नाबालिग़ बच्चे या कम अक़्ल के साथ भी सफ़र नहीं कर सकती ,साथ में बालिग़ महरम या शौहर का होना ज़रूरी है। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– महरम के लिए ज़रूर है कि सख़्त फ़ासिक़, बेबाक, ग़ैर मामून यानी बेहया या ग़लत

हरकतें करने वाला न हो। (आलमगीरी)

जुमे का बयान

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है:–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِیَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا
اِلٰی ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ○

तर्जमा :– "ऐ ईमान वालो ! जब नमाज़ के लिए जुमे के दिन अज़ान दी जाये तो ज़िक्रे खुदा की तरफ़ दौड़ो और ख़रीद व फ़रोख़्त छोड़ दो यह तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो।

फ़ज़ाइले रोज़े जुमा

हदीस न.1 व 2 :– सहीहैन में अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं हम पिछले हैं (यानी दुनिया में आने के लिहाज़ से)और क़ियामत के दिन पहले, सिवा इसके कि उन्हें हम से पहले किताब मिली और हमें उनके बाद यही जुमा वह दिन है कि उन पर फ़र्ज़ किया गया यानी यह कि इसकी ताज़ीम करें वह इस से ख़िलाफ़ हो गये और हम को अल्लाह तआ़ला ने बता दिया दूसरे लोग हमारे ताबेअ़ हैं यहूद ने दूसरे दिन को वह दिन मुक़र्रर किया यअ़नी हफ़्ते को और नसारा ने तीसरे दिन को यअ़नी इतवार को। और मुस्लिम की दूसरी रिवायत उन्हीं से और हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से यह है फ़रमाते हैं हम दुनिया वालों से पीछे हैं और क़ियामत के दिन पहले कि तमाम मख़लूक़ से पहले हमारे लिए फ़ैसला हो जायेगा।

हदीस न. 3 :– मुस्लिम व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम बेहतर दिन (अच्छा दिन) कि आफ़ताब ने उस पर तुलूअ़ किया जुमे का दिन है। इसी में आदम अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा किये गये और इसी में जन्नत में दाख़िल किये गये और इसी में जन्नत से उतरने का उन्हें हुक्म हुआ और क़ियामत जुमे ही के दिन क़ाइम होगी।

हदीस न.4 व 5 :– अबू दाऊद व नसई व इब्ने माजा व बैहक़ी औस इब्ने औस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम तुम्हारे अफ़ज़ल दिनों से जुमे का दिन है इसी में आदम अ़लैहिस्सलाम पैदा किये गये और इसी में इन्तिक़ाल किया और इसी में नफ़्ख़ा है (यानी दूसरी बार सूर फुँका जाना) इसी में सअ़क़ा है (यानी पहली बार सूर फुँका जाना) इस दिन में मुझ पर दुरूद की कसरत करो कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। लोगों ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम उस वक़्त हुज़ूर पर हमारा दुरूद क्यों कर पेश किया जायेगा जब हुज़ूर इन्तिक़ाल फ़रमा चुके होंगे। फ़रमारया अल्लाह तआ़ला ने ज़मीन पर अम्बिया के जिस्म खाना हराम कर दिया है और इब्ने माजा की रिवायत में है कि फ़रमाते हैं जुमे के दिन मुझ पर दुरूद की कसरत करो कि यह दिन मशहूद (गवाही दिया हुआ

यानी बुज़ुर्गी वाला) है इसमें फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं और मुझ पर जो दुरूद पढ़ेगा पेश किया जायेगा अबूदरदा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु कहते हैं कि मैंने अ़र्ज़ की,और मौत के बअ्द? फ़रमाया बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर अम्बिया के जिस्म खाना हराम कर दिया है अल्लाह का नबी ज़िन्दा है रोज़ी दिया जाता है।

हदीस न. 6.व 7 :– इब्ने माजा अबू लिबाबा इब्ने अ़ब्दुल मुन्ज़िर और अहमद सअ्द इब्ने मआज़ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है अल्लाह के नज़दीक सब से बड़ा दिन है और वह अल्लाह के नज़दीक ईदे अज़्हा और ईदुल फ़ित्र से बड़ा है। उसमें पाँच ख़सलतें हैं 1.अल्लाह तआ़ला ने उसी में आदम अ़लैहिस्सलाम को पैदा किया। 2. उसी में ज़मीन पर उन्हें उतारा। 3. उसी में उन्हें वफ़ात दी। 4 उसमें एक साअ़त ऐसी है कि बन्दा उस वक़्त जिस चीज़ का सवाल करे वह उसे देगा जब तक हराम का सवाल न करे। 5.उसी दिन क़ियामत क़ाइम होगी, कोई मुक़र्रब फ़रिश्ता व आसमान व ज़मीन और हवा और पहाड़ और दरिया ऐसी नहीं कि जुमे के दिन से डरता न हो।

जुमे के दिन एक ऐसी साअ़त (वक़्त)है कि उस में दुआ़ क़बूल होती है

हदीस न.8 व 10 :– बुख़ारी व मुस्लिम अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जुमे में एक ऐसी साअ़त है कि मुसलमान बन्दा अगर उसे पा ले और उस वक़्त अल्लाह तआ़ला से भलाई का सवाल करे तो वह उसे देगा और मुस्लिम की रिवायत में यह भी है कि वह वक़्त बहुत थोड़ा है,रहा यह कि वह कौन सा वक़्त है इसमें रिवायतें बहुत हैं उनमें दो क़वी हैं एक यह कि इमाम के ख़ुतबे के लिए बैठने से ख़त्मे नमाज़ तक है। इस हीदस को मुस्लिम अबू बुरदा इब्ने अबी मूसा से वह अपने वालिद से वह हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं और दूसरी यह कि वह जुमे की पिछली साअ़त है इमाम मालिक व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई व अहमद अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी वह कहते हैं मैं कोहेतूर की तरफ़ गया और कअ़्ब अहबार से मिला उन के पास बैठा। उन्होंने मुझे तौरात की रिवायतें सुनाई और मैंने उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की हदीसें बयान कीं। उनमें एक हदीस यह भी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया बेहतर दिन कि आफ़ताब ने उस पर तुलू किया जुमे का दिन है उसी में आदम अ़लैहिस्सलाम पैदा किये गये और उसी में उन्हें उतरने का हुक्म हुआ और उसी में उनकी तौबा क़बूल हुई और उसी में उनका इन्तिक़ाल हुआ और उसी में क़ियामत क़ाइम होगी और कोई जानवर ऐसा नहीं कि जुमे के दिन सुबह के वक़्त आफ़ताब निकलने तक क़ियामत के डर से चीख़ता न हो सिवा आदमी और जिन्न के और इसमें एक ऐसा वक़्त है कि मुसलमान बन्दा नमाज़ पढ़ते में उसे पा ले तो अल्लाह तआ़ला से जिस शय (चीज़)का सवाल करे वह उसे देगा। कअ़्ब ने कहा साल में ऐसा एक दिन है। मैंने कहा बल्कि हर जुमे में है। कअ़्ब ने तौरात पढ़कर कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने सच फ़रमाया। अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु कहते हैं फिर मैं अ़ब्दुल्लाह इब्ने सलाम रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मिला और कअ़्ब अहबार की मजलिस और जुमे के बारे में जो हदीस बयान की थी उसका ज़िक्र किया और कअ़्ब ने कहा था यह हर साल में एक दिन है।

अ़ब्दुल्लाह इब्ने सलाम ने कहा कअ़्ब ने ग़लत कहा। मैंने कहा फिर कअ़्ब ने तौरात पढ़कर कहा बल्कि वह साअ़त हर जुमे में है। कहा कअ़्ब ने सच कहा फिर अ़ब्दुल्लाह इब्ने सलाम ने कहा तुम्हें मालूम है यह कौन सी साअ़त है। मैंने कहा मुझे बताओ और बुख़्ल (कंजूसी)न करो। कहा जुमे के दिन की पिछली साअ़त है मैंने कहा पिछली साअ़त कैसे हो सकती है, हुज़ूर ने तो फ़रमाया है मुसलमान बन्दा नमाज़ पढ़ते में उसे पाये और वह नमाज़ का वक़्त नहीं अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहा क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने यह नहीं फ़रमाया है कि जो किसी मजलिस में नमाज़ के इन्तिज़ार में बैठे वह नमाज़ में है। मैंने कहा हाँ फ़रमाया तो है कहा तो वह यही है यानी नमाज़ पढ़ने से नमाज़ का इन्तिज़ार मुराद है।

हदीस न.11 :– तिर्मिज़ी ने अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु ताआ़ला अ़लैहि वसल्लम जुमे के दिन जिस साअ़त की ख़्वाहिश की जाती है उसे अ़स्र के बाद से ग़ुरूबे आफ़ताब तक तलाश करो।

हदीस न.12 :– त़बरानी औसत में अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम अल्लाह तआ़ला किसी मुसलमान को जुमे के दिन बे–मग़फ़िरत किये न छोड़ेगा।

हदीस न. 13 :– अबू यअ़्ला उन्हीं से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जुमे के दिन और रात में चौबीस घन्टे में कोई घन्टा ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह तआ़ला जहन्नम से छह लाख आज़ाद न करता हो जिन पर ज़हन्नम वाजिब हो गया था।

जुमे के दिन या रात में मरने के फज़ाइल

हदीस न.14 :– अह़मद व तिर्मिज़ी अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो मुसलमान जुमे के दिन या जुमे की रात में मरेगा अल्लाह तआ़ला उसे फ़ितनए क़ब्र से बचालेगा।

हदीस न.15 :– अबू नईम ने जाबिर रदियल्लहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो जुमे के दिन या जुमे की रात में मरेगा अज़ाबे क़ब्र से बचा लिया जायेगा और क़ियामत के दिन इस तरह आयेगा कि उस पर शहीदों की मुहर होगी।

हदीस न. 16 :– हुमैद ने तरग़ीब (किताब का नाम)में अयास इब्ने बुकैर से रिवायत की कि फ़रमाते हैं जो जुमे के दिन मरेगा उसके लिए शहीद का अज्र लिखा जायेगा और फ़ितनए क़ब्र से बचा लिया जायेगा।

हदीस न. 17 :– अ़ता से मरवी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो मुसल –मान मर्द या मुसलमान औरत जुमे के दिन या जुमे की रात में मरे अ़ज़ाबे क़ब्र और फ़ितनए क़ब्र से बचा लिया जायेगा और ख़ुदा से इस हाल में मिलेगा कि उस पर कुछ हिसाब न होगा। और उसके साथ गवाह होंगे कि उसके लिए गवाही देंगे या मुहर होगी।

हदीस न.18 :– बैहक़ी की रिवायत अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जुमे की रात रौशन रात है और जुमे का दिन चमकदार दिन।

हदीस न.19 :– तिर्मिज़ी इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि उन्होंने यह आयत पढ़ी:–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

तर्जमा :– "आज मैंने तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नेअ्मत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसन्द फ़रमाया।

उनकी ख़िदमत में एक यहूदी हाज़िर था उसने कहा यह आयत हम पर नाज़िल होती तो हम उस दिन को ईद बनाते। इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फ़रमाया यह आयत दो ईदों के दिन उतरी जुमा और अरफ़ा के दिन यअ्नी हमें उस दिन को ईद बनाने की ज़रूरत नहीं कि अल्लाह तआला ने जिस दिन यह आयत उतारी उस दिन दोहरी ईद थी कि जुमा व अरफ़ा। यह दोनों दिन मुसलमानों की ईद के हैं और उस दिन यह दोनों जमा थे कि जुमे का दिन था और नवीं ज़िलहिज्जा।

फ़ज़ाइले नमाज़े जुमा

हदीस न.20 :– मुस्लिम व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जिसने अच्छी तरह वुज़ू किया फिर जुमे को आया(खुतबा)सुना और चुप रहा उसके लिए मग़फ़िरत हो जायेगी उन गुनाहों की जो इस जुमे और दूसरे जुमे के दरमियान हैं और तीन दिन और, और जिसने कंकरी छुई उसने लग़्व(बेकार काम)किया यअ्नी खुतबा सुनने की हालत में इतना काम भी लग़्व में दाख़िल है कि कंकरी पड़ी हो उसे हटा दे।

हदीस न.21 :– तबरानी की रिवायत अबू मालिक अशअ़री रदियल्लाहु तआला अन्हु से है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जुमा कफ़्फ़ारा है उन गुनाहों के लिए जो इस जुमे और इसके बाद वाले जुमे के दरमियान हैं और तीन दिन ज़्यादा,और यह इस वजह से कि अल्लाह तआला फ़रमाता है जो एक नेकी करे उसके लिए उसकी दस मिस्ल है।

हदीस न. 22 :– इब्ने हब्बान अपनी सहीह में अबू सईद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पाँच चीजें जो एक दिन में करेगा अल्लाह तआला उसको जन्नती लिख देगा 1. जो मरीज़ को पूछने जाये 2. जनाज़े में हाज़िर हो 3. रोज़ा रखे 4. जुमे को जाये 5. गुलाम आज़ाद करे।

हदीस न.23 :– तिर्मिज़ी रावी हैं कि यज़ीद इब्ने अबी मरयम कहते हैं मैं जुमे को जाता था उबाया इब्ने रिफ़ाआ इब्ने राफ़ेअ् मिले उन्होंने कहा तुम्हें बशारत (खुशख़बरी)हो कि तुम्हारे यह क़दम अल्लाह की राह में हैं। मैंने अबू अब्स को कहते सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसके क़दम अल्लाह की राह में गर्द आलूद हों वह आग पर हराम हैं और बुख़ारी की रिवायत में यूँ है कि उबाया यह कहते हैं मैं जुमे को जा रहा था अबू अब्स रदियल्लाहु तआला अन्हु मिले और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनाया।

जुमा छोड़ने पर वईदें

हदीस न. 24,25,26:—मुस्लिम अबू हुरैरह व इब्ने उमर से और नसाई व इब्ने माजा इब्ने अब्बास व इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुम से रावी हुज़ूर अक्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं लोग जुमा छोड़ने से बाज़ आयेंगे या अल्लाह तआला उनके दिलों पर मुहर कर देगा फिर ग़ाफ़िलीन में हो जायेंगे।

हदीस न.27 से 31 :— फ़रमाते हैं जो तीन जुमे सुस्ती की वजह से छोड़े अल्लाह तआला उसके दिल पर मुहर कर देगा इसको अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा व दारमी व इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हब्बान व हाकिम अबू जअ्द ज़मरी से और इमाम मालिक ने सफ़वान इब्ने सुलैम से और इमाम अहमद ने अबू क़तादा रदियल्लाहु तआला अन्हुम से रिवायत किया। तिर्मिज़ी ने कहा यह हदीस हसन है और हाकिम ने कहा सही है मुस्लिम शरीफ़ की शराइत के मुताबिक़ और इब्ने खुज़ैमा और इब्ने हब्बान की एक रिवायत में है जो तीन जुमे बिला उज़्र छोड़े वह मुनाफ़िक़ है और रज़ीन की रिवायत में है वह अल्लाह से बेइलाका है और तबरानी की रिवायत उसामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से है वह मुनाफ़िक़ीन में लिख दिया गया और इमाम शाफ़िई रदियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से है वह मुनाफ़िक़ लिख दिया गया उस किताब में जो न महव हो (न मिटे)न बदली जाये और एक रिवायत में है जो तीन जुमे पै—दर—पै छोड़े उसने इस्लाम को पीठ के पीछे फेंक दिया इसको अबू यअ्ला ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से बइस्नादे सही रिवायत किया।

हदीस न. 32 :— अहमद व अबू दाऊद व इब्ने माजा सुमरा इब्ने जुनदुब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो बग़ैर उज़्र जुमा छोड़े एक दीनार सदक़ा दे और अगर न पाये तो आधा दीनार और यह दीनार तसद्दुक़ करना शायद इसलिए हो कि क़बूले तौबा के लिए मुईन(मददगार) हो वरना हक़ीक़तन तौबा करना फ़र्ज़ है।

हदीस न. 33 :— सही मुस्लिम शरीफ़ में इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैंने क़स्द (इरादा) किया एक शख़्स को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दूँ और जो लोग जुमे से पीछे रह गये उनके घरों को जला दूँ।

हदीस न.34 :— इब्ने माजा ने जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुतबा फ़रमाया और फ़रमाया ऐ लोगो। मरने से पहले अल्लाह की तरफ़ तौबा करो और मशग़ूल होने से पहले नेक कामों की तरफ़ सबक़त करो और यादे खुदा की कसरत और ज़ाहिर व पोशीदा (छुपा हुआ) सदक़े की कसरत से जो तअल्लुक़ात तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान हैं मिलाओ ऐसा करोगे तो तुम्हें रोज़ी दी जायेगी और तुम्हारी मदद की जायेगी, शिकस्तगी (तंगी,परेशानी)दूर फ़रमाई जायेगी और जान लो कि इस जगह इस दिन इस साल में क़ियामत तक के लिए अल्लाह ने तुम पर जुमा फ़र्ज़ किया जो शख़्स मेरी हयात में या मेरे बाद हल्का जानकर और ब—तौरे इन्कार जुमा छोड़े और उसके लिए कोई इमाम यअ्नी हाकिमे इस्लाम हो आदिल या ज़ालिम तो अल्लाह तआला न उसकी परागंदगी(परेशानी)को जमा फ़रमायेगा न उसके काम में बरकत देगा आगाह उसके लिए न नमाज़ है,न ज़कात न हज न रोज़ा न नेकी

जब तक तौबा न करे और जो तौबा करे अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमायेगा।

हदीस न. 35 :– दारेकुतनी उन्हीं से रावी कि फरमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाता है उस पर जुमा के दिन जुमा (नमाज़) फ़र्ज़ है मगर मरीज़ या मुसाफ़िर या औरत या बच्चा या गुलाम पर,और जो शख़्स खेल या तिजारत में मशग़ूल रहा तो अल्लाह तआला उससे बेपरवाह है और अल्लाह ग़नी हमीद है।

जुमे के दिन नहाने और खुशबू लगाने का बयान

हदीस न. 36,37,38:–सही बुख़ारी में सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी फरमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो शख़्स जुमे के दिन नहाये और जिस तहारत की इस्तिताअत हो करे और तेल लगाये और घर में जो ख़ुश्बू हो मले फिर नमाज़ को निकले और दो शख़्सों में जुदाई न करे यअ्नी दो शख़्स बैठे हुए हों उन्हें हटाकर बीच में न बैठे और जो नमाज़ उसके लिए लिखी गई है पढ़े और इमाम जब खुतबा पढ़े तो चुप रहे, उसके लिए उन गुनाहों की जो इस जुमे और दूसरे जुमे के दरमियान हैं मग़फ़िरत हो जायेगी और इसी के क़रीब–क़रीब अबू सईद खुदरी व अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से भी चन्द तरीक़ों से रिवायतें हैं।

हदीस न.39,40 :– अहमद व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा व इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हब्बान व हाकिम औस इब्ने औस और तबरानी औसत में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुम से रावी कि फरमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो नहलाए और नहाये और अव्वल वक़्त आये और शुरूअ् खुतबे में शरीक हो और चलकर आये सवारी पर न आये और इमाम से क़रीब हो और कान लगा कर खुतबा सुने और लग़्व(बेकार)काम न करे उसके लिए हर क़दम के बदले साल भर का अमल है एक साल के दिनों के रोज़े और रातों के क़ियाम का उसके लिए अज्र है और इसी के मिस्ल दीगर सहाबए किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम से भी रिवायतें हैं।

हदीस न.41 :– बुख़ारी व मुस्लिम अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर मुसलमान पर सात दिन में एक दिन गुस्ल है कि उस दिन में सर धोये और बदन।

हदीस न.42 :– अहमद व अबू दाऊद तिर्मिज़ी व नसई व दारमी सुमरा इब्ने जुन्दुब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फरामते हैं जिसने जुमे के दिन वुज़ू किया बेहतर और अच्छा है और जिसने गुस्ल किया तो गुस्ल अफ़ज़ल है।

हदीस न.43 :– अबू दाऊद इकरमा से रावी कि इराक़ से कुछ लोग आये उन्होंने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से सवाल किया कि जुमे के दिन आप गुस्ल वाजिब जानते हैं ? फ़रमाया न, हाँ यह ज़्यादा तहारत है और जो नहाये उसके लिए बेहतर है और जो गुस्ल न करे उस पर वाजिब नहीं।

हदीस न.44 :– इब्ने माजा इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं इस दिन को अल्लाह तआला ने मुसलमानों के लिए ईद किया तो जो जुमे को आये वह नहाये और अगर खुश्बू हो तो लगाये।

हदीस न.45 :— अहमद व तिर्मिज़ी बर्रा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुसलमान पर हक है कि जुमे के दिन नहाये और घर में जो खुश्बू हो लगाये और खुश्बू न पाये तो पानी यअ्नी नहाना बजाए खुश्बू है।

हदीस न.46,47 :— तबरानी कबीर व औसत में सिद्दीके अकबर व इमरान इब्ने हसीन रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि फरमाते हैं जो जुमे के दिन नहाये उसके गुनाह और ख़तायें मिटा दी जाती हैं और जब चलना शुरूअ् किया तो हर कदम पर बीस नेकियाँ लिखी जाती हैं और दूसरी रिवायत में है हर कदम पर बीस साल का अमल लिखा जाता है और जब नमाज़ से फ़ारिग़ हो तो उसे दो सौ बरस के अमल का अज्र मिलता है।

हदीस न.48 :— तबरानी कबीर में बरिवायते सिकात (मोतबर रावी) अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं जुमे का गुस्ल बाल की जड़ों से ख़तायें खींच लेता है।

जुमे के लिए, अव्वल जाने का सवाब और गर्दने फलाँगने की मनाही।

हदीस न.49 :— बुख़ारी व मुस्लिम व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व मालिक व नसई व इब्ने माजा अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो शख़्स जुमे के दिन गुस्ल करे जैसे जनाबत का गुस्ल है फिर पहली साअत में जाये तो गोया उसने ऊँट की कुर्बानी की और जो दूसरी साअत में गया उसने गाय की कुर्बानी की और जो तीसरी साअत में गया गोया उसने सींग वाले मेंढे की कुर्बानी की और जो चौथी साअत में गया गोया अण्डा ख़र्च किया फिर जब इमाम खुतबे को निकला मलाइका ज़िक्र सुनने हाज़िर होते हैं।

हदीस न. 50,52 :— बुख़ारी व मुस्लिम व इब्ने माजा की दूसरी रिवायत उन्हीं से है हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जब जुमे का दिन होता है फ़रिश्ते मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े होते हैं और हाज़िर होने वालों को लिखते हैं सब में पहला फिर उस के बअ्द वाला (उसके बाद वही सवाब ज़िक्र किए जो ऊपर की रिवायत में ज़िक्र किये गये) फिर इमाम जब खुतबे को निकला फ़रिश्ते अपने दफ़्तर लपेट लेते हैं और ज़िक्र सुनते हैं इसी के मिस्ल सुमरा इब्ने जुन्दुब व अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से भी रिवायत है"।

हदीस न.53 :— इमाम अहमद व तबरानी की रिवायत अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से है जब इमाम खुतबे को निकलता है तो फ़रिश्ते दफ़्तर लपेट लेते हैं। किसी ने उनसे कहा तो जो शख़्स इमाम के निकलने के बअ्द आये उसका जुमा न हुआ। कहा हाँ हुआ तो लेकिन वह दफ़्तर में नहीं लिखा गया।

हदीस न.54 :— जिसने जुमे के दिन लोगों की गर्दनें फलाँगी उसने जहन्नम की तरफ़ पुल बनाया इस हदीस को तिर्मिज़ी व इब्ने माजा मआज़ इब्ने अनस जुहनी से वह अपने वालिद से रिवायत करते हैं और तिर्मिज़ी ने कहा यह हदीस ग़रीब है और तमाम अहले इल्म के नज़दीक इसी पर अमल है।

हदीस न. 55 :— अहमद व अबू दाऊद व नसई अब्दुल्लाह इब्ने बुस्र रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि एक शख़्स लोगों की गर्दनें फ़लाँगते हुए आये और हुजूर सल्लल्लाहु तआल अलैहि वसल्लम खुतबा फ़रमा रहे थे इरशाद फ़रमाया बैठ जा तूने ईज़ा पहुँचाई।

हदीस न. 56 :– अबू दाऊद अम्र इब्ने आस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं जुमे में तीन किस्म के लोग हाज़िर होते हैं एक वह कि लग्व के साथ हाज़िर हों (यानी कोई ऐसा काम ज़ाहिर किया जिससे सवाब जाता रहा मसलन खुतबे के वक़्त कलाम किया या कंकरियाँ छुई)तो उसका हिस्सा जुमे से वही लग्व है और एक वह शख़्स कि अल्लाह से दुआ की तो अगर चाहे दे और चाहे न दे और एक वह कि सुकूत व इनसात (यानी ख़ामोशी)के साथ हाज़िर हुआ और किसी मुसलमान की न गर्दन फलाँगी न ईज़ा दी तो जुमा उस के लिए कफ़्फ़ारा है आइन्दा जुमा और तीन दिन ज़्यादा तक।

मसाइले फ़िक़्हिय्या

जुमा फ़र्ज़ है और इसकी फ़र्ज़ीयत ज़ोहर से ज़्यादा मुअक्कद(सख़्त)है और इसका इन्कार करने वाला क़ाफ़िर है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– जुमा पढ़ने के लिए छह शर्तें हैं कि उनमें से एक शर्त भी मफ़कूद हो यानी न पाई जाये तो होगा ही नहीं।

मिस्र (शहर)की तअ्रीफ़ व अहकाम

1.मिस्र या फ़नाए मिस्र :– मिस्र वह जगह है जिसमें मुतअ़द्दिद यअ्नी बहुत से कूचे (गलियाँ)और बाज़ार हों और वह ज़िला या परगना हो उसके मुतअल्लिक़ देहात गिने जाते हों और वहाँ कोई हाकिम हो कि अपने दबदबे व सितवत (रोब दाब) के सबब मज़लूम का इन्साफ़ ज़ालिम से ले सके यानी इंसाफ़ पर कुदरत काफ़ी है अगर्चे नाइन्साफ़ी करता हो और बदला न लेता हो,और मिस्र के आस पास की जगह जो मिस्र की मसलेहतों के लिए हो उसे फ़नाए मिस्र कहते हैं जैसे क़ब्रिस्तान घुड़ दौड़ का मैदान फौज के रहने की जगह, कचहरियाँ, स्टेशन कि यह चीजें शहर से बाहर हों तो फ़नाए मिस्र में इनका शुमार है और वहाँ जुमा जाइज़। (गुनिया वग़ैरा) लिहाज़ा जुमा शहर में पढ़ा जाये या क़स्बे में या उनकी फ़ना में और गाँव में जाइज़ नहीं। (गुनिया)

मसअला :– जिस शहर में कुफ़्फ़ार का तसल्लुत (कब्ज़ा) हो गया वहाँ भी जाइज़ है जब तक दारूल इस्लाम रहे। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मिस्र के लिए हाकिम का वहाँ रहना ज़रूरी है और अगर बतौर दौरा वहाँ आ गया तो वह जगह मिस्र न होगी न वहाँ जुमा क़ाइम किया जायेगा। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जो जगह शहर से क़रीब है मगर शहर की ज़रूरतों के लिए न हो और उसके और शहर के दरमियान खेत वग़ैरा फ़ासिल हो यानी खेत वग़ैरा बीच में हों तो वहाँ जुमा जाइज़ नहीं अगर्चे अज़ाने जुमा की आवाज़ वहाँ तक पहुँचती हो।(आलमगीरी)मगर अकसर अइम्मा कहते हैं कि अगर अज़ान की आवाज़ पहुँचती हो तो उन लोगों पर जुमा पढ़ना फ़र्ज़ है बल्कि बाज़ ने तो यह फ़रमाया कि अगर शहर से दूर जगह हो मगर बिलातकलीफ़ वापस जा सकता हो तो जुमा पढ़ना फ़र्ज़ है।(दुर्रे मुख़्तार) लिहाज़ा जो लोग शहर के क़रीब गाँव में रहते हैं तो उन्हें चाहिए कि शहर आकर जुमा पढ़ जायें।

मसअला :– गाँव का रहने वाला शहर में आया और जुमे के दिन यहीं रहने का इरादा है तो जुमा फ़र्ज़ है और उसी दिन वापसी का इरादा हो ज़वाल से पहले या बाद तो फ़र्ज़ नहीं मगर पढ़े तो

मुस्तहिक़्क़े सवाब है,यूँही मुसाफ़िर शहर में आया और कोई दूसरा काम भी मक़सूद है तो इस सई यानी जुमे के लिए आने का भी सवाब पायेगा और जुमा पढ़ा तो जुमे का भी।(आलमगीरी, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– हज के दिनों में मिना में जुमा पढ़ा जायेगा जब कि ख़लीफ़ा या अमीरे हिजाज़ यानी शरीफ़े मक्का वहाँ मौजूद हों और अमीरे मौसम यानी वह कि हाजियों के लिए हाकिम बनाया गया है जुमा नहीं क़ाइम कर सकता। हज के अ़लावा और दिनों में मिना में जुमा नहीं हो सकता और अ़रफ़ात में मुतलक़न नहीं हो सकता न हज के ज़माने में न और दिनों में। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– शहर में मुतअ़द्दिद जगह जुमा हो सकता है ख़्वाह वह शहर छोटा हो या बड़ा और जुमा दो मस्जिदों में हो या ज़्यादा। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)मगर बिला ज़रूरत बहुत सी जगह जुमा क़ाइम न किया जाये कि जुमा शआइरे इस्लाम यानी इस्लाम की निशानियों से है और जामेए जमाअ्त है और बहुत सी मस्जिदों में होने से वह शौकते इस्लामी बाक़ी नहीं रहती जो इजतिमा (इकट्ठे होने)में होती है। परेशानी दूर करने के लिए तो ख़्वामख़्वाह जमाअ़त ख़राब करना और मुहल्ला मुहल्ला जुमा क़ाइम करना न चाहिए। नीज़ एक बहुत ज़रूरी बात जिसकी तरफ़ अ़वाम की बिल्कुल तवज्जोह नहीं यह है कि जुमे को और नमाज़ों की तरह समझ रखा है कि जिसने चाहा नया जुमा क़ाइम कर लिया और जिसने चाहा पढ़ा दिया यह नाजाइज़ है इसलिए कि जुमा क़ाइम करना बादशाहे इस्लाम या उसके नाइब का काम है इसका बयान आगे आता है और जहाँ इस्लामी सल्तनत न हो वहाँ सब से बड़ा फ़क़ीह सुन्नी सहीहुल अ़क़ीदा हो अहकामे शरइय्या जारी करने में सुल्ताने इस्लाम के क़ाइम मक़ाम है यअ्नी जहाँ इस्लामी हुकूमत न हो वहाँ शहर का सबसे बड़ा सुन्नी सहीहुल अ़क़ीदा फ़क़ीह जुमा क़ाइम करने का हुक्म देगा। लिहाज़ा वही जुमा क़ाइम करे बग़ैर इसकी इजाज़त के नहीं हो सकता और यह भी न हो तो आम लोग जिसको इमाम बनायें। आ़लिम के होते हुए अ़वाम ब–तौरे ख़ुद किसी को इमाम नहीं बना सकते न यह हो सकता है कि दो चार शख़्स किसी को इमाम मुक़र्रर कर लें ऐसा जुमा कहीं से साबित नहीं।

मसअ्ला :– ज़ोहरे एहतियाती(कि जुमे के बाद चार रकअ़त नमाज़ इस नियत से कि सबमें पिछली ज़ोहर जिस का वक़्त पाया और न पढ़ी) ख़ास लोगों के लिए है। जिन को फ़र्ज़े जुमा अदा होने में शक न हो और अ़वाम कि अगर एहतियाती ज़ोहर पढ़ें तो जुमे के अदा होने में उन्हें शक होगा वह न पढ़ें और उस की चारों मरी पढ़ी जायें बेहतर यह है कि जुमा पिछली चार सुन्नतें पढ़ कर ज़ोहरे एहतियाती पढ़ें फिर दो सुन्नतें और इन छह सुन्नतों में सुन्नते वक़्त की नियत करें।(आलमगीरी ,सग़ीरी)

दूसरी शर्त

2. सुल्ताने इस्लाम या उसका नाइब : जिसे जुमा क़ाइम करने का हुक्म दिया।

मसअ्ला :– सुल्तान आ़दिल हो या ज़ालिम जुमा क़ाइम कर सकता है यूँही अगर ज़बरदस्ती बादशाह बन बैठा यअ्नी शरअ़न उसको हक़्क़े इमामत न हो मसलन क़र्शी(हाशमी वग़ैरा)न हो या और कोई शर्त न पाई गई हो तो यह भी जुमा क़ाइम कर सकता है। यूँही अगर औरत बादशाह बन बैठी तो उसके हुक्म से जुमा क़ाइम होगा यह ख़ुद नहीं क़ाइम कर सकती। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुल मुहतार वग़ैरहुम)

मसअ्ला :– बादशाह ने जिसे जुमे का इमाम मुक़र्रर कर दिया वह दूसरे से भी पढ़वा सकता है अगर्चे उसे इस का इख़्तियार न दिया कि दूसरे से पढ़वा दे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– इमामे जुमा की बिला इजाज़त किसी ने जुमा पढ़ाया अगर इमाम या वह शख़्स जिसके हुक्म से जुमा क़ाइम होता है शरीक हो गया तो हो जायेगा वरना नहीं। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– हाकिमे शहर का इन्तिक़ाल हो गया या फ़ितने के सबब कहीं चला गया और उसके ख़लीफ़ा(वलीअ़हद)या क़ाज़ी माज़ून ने जुमा क़ाइम किया जाइज़ है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– किसी शहर में बादशाहे इस्लाम वग़ैरा जिसके हुक्म से जुमा क़ाइम होता है, न हो तो आ़म लोग जिसे चाहें इमाम बना दें। यूँही अगर बादशाह से इजाज़त न ले सकते हों जब भी किसी को मुक़र्रर कर सकते हैं। (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– हाकिमे शहर नाबालिग़ या काफ़िर है और अब वह नाबालिग़ बालिग़ हुआ या काफ़िर मुसलमान हुआ तो अब भी जुमा क़ाइम करने का इनको हक़ नहीं अलबत्ता अगर जदीद हुक्म इनके लिये आया या बादशाह ने कह दिया था कि बालिग़ होने या इस्लाम लाने के बाद जुमा क़ाइम करना तो क़ाइम कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअला :– ख़ुत़बे की इजाज़त जुमे की इजाज़त और जुमे की इजाज़त ख़ुत़बे की इजाज़त है अगर्चे कह दिया हो कि ख़ुत़बा पढ़ना और जुमा न क़ाइम करना। (आलमलगीरी)

मसअला :– बादशाह लोगों को जुमा क़ाइम करने से मना कर दे तो लोग ख़ुद क़ाइम कर लें और अगर उसने किसी शहर की शहरियत बात़िल कर दी यअ़नी शहर अब शहर नहीं रहा तो लोगों को अब जुमा पढ़ने का इख़्तियार नहीं। (रद्दुल मुहतार) यह उस वक़्त है कि बादशाहे इस्लाम ने शहरियत बात़िल कर दी हो और काफ़िर ने बात़िल की तो पढ़ें।

मसअला :– इमामे जुमा को बादशाह ने मअ़ज़ूल कर दिया तो जब तक मअ़ज़ूली का परवाना आये या ख़ुद बादशाह न आये मअ़ज़ूल न होगा। (आलमगीरी)

मसअला :– बादशाह सफ़र कर के अपने मुल्क के किसी शहर में पहुँचा तो वहाँ जुमा ख़ुद क़ाइम कर सकता है। (आलमगीरी)

(3)वक़्ते ज़ोहर यअ़नी वक़्ते ज़ोहर में नमाज़ पूरी हो जाये तो अगर नमाज़ के दरमियान में अगर्चे तशह्हुद के बाद अ़स्र का वक़्त आ गया जुमा बात़िल हो गया ज़ोहर की क़ज़ा पढ़ें। (आम्मए कुतुब)

मसअला :– मुक़तदी नमाज़ में सो गया था आँख उस वक़्त खुली कि इमाम सलाम फेर चुका है तो अगर वक़्त बाक़ी है जुमा पूरा करे वरना ज़ोहर की क़ज़ा पढ़े यअ़नी नये तहरीमा से (आलमगीरी वग़ैरा) यूँही अगर इतनी भीड़ थी कि रुकूअ़ व सुजूद न कर सका यहाँ तक कि इमाम ने सलाम फेर दिया तो उसमें भी वही सूरतें हैं। (दुर्रे मुख़्तार)

(4) ख़ुत़बा

मसअला :– ख़ुत़बए जुमे में शर्त यह है कि 1.वक़्त में हो 2. नमाज़ से पहले 3.ऐसी जमाअ़त के सामने हो जो जुमे के लिए शर्त है यअ़नी कम से कम ख़त़ीब के सिवा तीन मर्द हों 4. इतनी आवाज़ से हो कि पास वाले सुन सकें अगर कोई अम्र मानेअ़ न हो तो अगर ज़वाल से पहले ख़ुत़बा पढ़ लिया या नमाज़ के बअ़द पढ़ा या तन्हा पढ़ा या औरतों बच्चों के सामने पढ़ा तो इन सब सूरतों में जुमा न हुआ और अगर बहरों या सोने वालों के सामने पढ़ा या हाज़िरीन दूर हैं कि सुनते नहीं या मुसाफ़िर बीमारों के सामने पढ़ा या जो आ़क़िल बालिग़ मर्द हैं तो हो जायेगा।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– खुतबा जिक्रे इलाही का नाम है अगर्चे सिर्फ़ एक बार 'अलहम्दु लिल्लाह' या 'सुब्हानल्लाह' या 'लाइला–ह–इल्लल्लाह' कहा इसी क़द्र से फ़र्ज़ अदा हो गया मगर इतने ही पर इक्तिफ़ा करना मकरूह है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– छींक आई और उस पर 'अलहम्दुलिल्लाह' कहा या तअज्जुब के तौर पर 'सुब्हानल्लाह' या 'लाइला–ह इल्लल्लाह' कहा तो फ़र्ज़े खुतबा अदा न हुआ। (आलमगीरी)

मसअला :– खुतबा व नमाज़ में अगर ज़्यादा फ़ासिला हो जाये तो वह खुतबा काफ़ी नहीं।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– सुन्नत यह है कि दो खुतबे पढ़े जायें और बड़े–बड़े न हों अगर दोनों मिलकर तवाले मुफ़स्सल (सूरए हुजरात से सूरए बुरूज तक के कुर्आन की हर एक सूरत को तवाले मुफ़स्सल कहते हैं)से बढ़ जाये तो मकरूह है खुसूसन जाड़ों में। (दुर्रे मुख़्तार,गुनिया)

मसअला :– खुतबें में यह चीज़ें सुन्नत हैं: 1. ख़तीब का पाक होना 2. खड़ा होना 3.खुतबे से पहले ख़तीब का बैठना 4. ख़तीब का मिम्बर पर होना। 5. सामेईन की तरफ़ मुँह 6. क़िब्ले को पीठ करना, बेहतर यह है कि मिम्बर मेहराब की बायें जानिब हो 7. हाज़िरीन का इमाम की तरफ़ मुतवज्जेह होना 8. खुतबे से पहले 'अऊज़ुबिल्लाह' आहिस्ता पढ़ना इतनी बलन्द आवाज़ से खुतबा पढ़ना कि लोग सुनें। 9. अलहम्द से शुरूअ़ करना 10. अल्लाह तआ़ला की सना करना। 11. अल्लाह तआ़ला की वहदानियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की रिसालत की शहादत देना 12 हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना 13. कम से कम एक आयत की तिलावत करना 14. पहले खुतबे में वअ़ज़ व नसीहत होना 15. दूसरे में हम्द व सना व शहादत व दुरूद का अदा करना 17.दूसरे में मुसलमानों के लिए दुआ़ करना 18. दोनों खुतबे हल्के होना 19. दोनों के दरमियान बक़द्र तीन आयत पढ़ने के बैठना। मुस्तहब यह है कि दूसरे खुतबे में आवाज़ बनिस्बत पहले कि पस्त हो और खुलफ़ाए राशिदीन व अ़म्मैन मुकर्रमैन यअ़नी हज़रते हमज़ा हज़रते अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा का ज़िक्र हो बेहतर यह है कि दूसरा खुतबा इस से शुरू करें :–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ
عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ يَّهْدِيْ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ.

तर्जमा :– "हम्द है अल्लाह के लिए हम उसकी हम्द करते हैं और उससे मदद तलब करते हैं और मग़फ़िरत चाहते हैं और उस पर ईमान लाते हैं और उस पर तवक्कुल करते हैं और अल्लाह की पनाह माँगते हैं अपने नफ़्सों की बुराई से और अपने अअ़मल की बदी से जिसको अल्लाह हिदायत करे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं और जिसको गुमराह करे उसे हिदायत करने वाला कोई नहीं"।

मर्द अगर इमाम के सामने हो तो इमाम की तरफ़ मुँह करे और दाहिने बायें हो इमाम की तरफ़ मुड़ जाये और इमाम से क़रीब होना अफ़ज़ल है मगर यह जाइज़ नहीं कि इमाम से क़रीब होने के लिए लोगों की गर्दनें फलाँगे अलबत्ता इमाम अभी खुतबे को नहीं गया है और आगे जगह बाक़ी है तो आगे जा सकता है और खुतबा शुरूअ़ होने के बअ़द मस्जिद में आया तो मस्जिद के किनारे ही बैठ जाये खुतबा सुनने की हालत में दो ज़ानू बैठे जैसे नमाज़ में बैठते हैं।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– बादशाहे इस्लाम की ऐसी तारीफ़ जो उसमें न हो हराम है मसलन मालिके रिकाबिल उमम(उम्मत की गर्दनों का मालिक)कि यह महज़ झूट और हराम है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ख़ुतबे में आयत न पढ़ना या दोनों ख़ुतबों के दरमियान जलसा न करना (न बैठना) या ख़ुतबे के बीच में कलाम करना मकरूह है अलबत्ता ख़तीब ने नेक बात का हुक्म किया या बुरी बात से मना किया तो उसे इसकी मनाही नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– ग़ैरे अ़रबी में ख़ुतबा पढ़ना या अ़रबी के साथ दूसरी ज़बान ख़ुतबे में मिलाना ख़िलाफ़े सुन्नते मुतवारिसा (यअ्नी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से साबित चली आ रही है उसके ख़िलाफ़ है)। यूँही ख़ुतबे में अशआ़र पढ़ना भी न चाहिए अगर्चे अ़रबी ही के हों ,हाँ दो एक नसीहत के अगर कभी पढ़ दे तो हरज नहीं।

(5)जमाअ़त :– यअ्नी इमाम के अ़लावा कम से कम तीन मर्द।

मसअ्ला :– अगर तीन गुलाम या मुसाफ़िर बीमार या गूँगे या अनपढ़ मुक़तदी हों तो जुमा हो जायेगा और सिर्फ़ औरतें और बच्चे हों तो नहीं। (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ख़ुतबे के वक़्त जो लोग मौजूद थे वह भाग गये और दूसरे तीन शख़्स आ गये तो इनके साथ इमाम जुमा पढ़े यअ्नी जुमे की जमाअ़त के लिए उन्हीं लोगों का होना ज़रूरी नहीं जो ख़ुतबे के वक़्त हाज़िर थे बल्कि उनके ग़ैर से भी हो जायेगा। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– पहली रकअ़त का सजदा करने से पहले सब मुक़तदी भाग गये या सिर्फ़ दो रह गये तो जुमा बातिल हो गया सिरे से ज़ोहर की नियत बाँधे और अगर सब भाग गये मगर तीन मर्द बाक़ी हैं या सजदे के बाद भागे या तहरीमा के बाद भाग गये और इमाम ने दूसरे तीन मर्दो के साथ जुमा पढ़ा तो इन सब सूरतों में जुमा जाइज़ है। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– " इमाम ने जब 'अल्लाहु अकबर'कहा उस वक़्त मुक़तदी बावुज़ू थे मगर उन्होंने नियत न बाँधी फिर यह सब बेवुज़ू हो गये और दूसरे लोग आ गये यह चले गये तो हो गया और अगर तहरीमा ही के वक़्त (नमाज़ शुरूअ् करने के वक़्त) सब मुक़तदी बेवुज़ू थे फिर और लोग आ गये तो इमाम सिरे से तहरीमा बाँधे। (ख़ानिया)

(6) इज़्ने आम :– यअ्नी मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया जाये कि जिस मुसलमान का जी चाहे आये किसी की रोक टोक न हो अगर जामे मस्जिद में जब लोग जमा हो गये दरवाज़ा बन्द करके जुमा पढ़ा न हुआ।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– बादशाह ने अपने मकान में जुमा पढ़ा और दरवाज़ा खोल दिया लोगों को आने की आ़म इजाज़त है तो हो गया लोग आयें या न आयें और दरवाज़ा बन्द करके पढ़ा या दरबानों को बैठा दिया कि लोगों को आने न दें तो जुमा न हुआ जेल में नमाज़े जुमा फ़र्ज़ नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरतों को अगर जामे मस्जिद से रोका जाये तो इज़्ने आ़म के ख़िलाफ़ न होगा कि इनके आने में ख़ौफ़े फ़ितना है। (रद्दुल मुहतार)

जुमा वाजिब होने के लिये ग्यारह शर्तें हैं :– इन में से एक भी न पाई जाये तो फ़र्ज़ नहीं फिर भी अगर पढ़ेगा तो हो जायेगा बल्कि मर्द आ़क़िल, बालिग़ के लिए जुमा पढ़ना अफ़ज़ल है और औरत के लिए ज़ोहर अफ़ज़ल है। हाँ औरत का मकान अगर मस्जिद से बिल्कुल मिला हुआ है कि घर में

इमामे मस्जिद की इक़्तिदा कर सके तो इसके लिए भी जुमा अफ़ज़ल है और नाबालिग़ ने जुमा पढ़ा तो नफ़्ल है कि उस पर नमाज़ फ़र्ज़ ही नहीं। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

शर्तें यह हैं :–

(1)**शहर में मुक़ीम होना** (2)**सेहत** यअ़नी मरीज़ पर जुमा फ़र्ज़ नहीं मरीज़ से मुराद वह है कि मस्जिदे जुमा तक न जा सकता हो या चला तो जायेगा मगर मरज़ बढ़ जायेगा या देर में अच्छा होगा (गुनिया) शैख़े फ़ानी (यअ़नी इतना बूढ़ा कि मस्जिदे जुमा तक न जा सके) मरीज़ के हुक्म में है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जो शख़्स मरीज़ का तीमार दार हो जानता है कि जुमे को जायेगा तो मरीज़ दिक़्क़तों में पड़ जा येगा और उस का कोई पुरसाने हाल न होगा तो इस तीमार दार पर जुमा फ़र्ज़ नहीं।(दुर्रे मुख़्तार)

(3)**आज़ाद होना** :– ग़ुलाम पर जुमा फ़र्ज़ नहीं और उसका आक़ा मना कर सकता है।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुकातिब ग़ुलाम यानी वह ग़ुलाम जिस से उसके आक़ा ने यह कह दिया हो कि तू इतना रूपया या माल मुझे दे दे तो तू आज़ाद है उस पर जुमा वाजिब है। यूँही जिस ग़ुलाम का कुछ हिस्सा आज़ाद हो चुका हो बाक़ी के लिए कोशिश करता हो यानी बक़िया आज़ाद होने के लिए कमाकर अपने आक़ा को देता हो इस पर भी जुमा फ़र्ज़ है (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जिस ग़ुलाम को उसके मालिक ने तिजारत करने की इजाज़त दी हो या उसके ज़िम्मे कोई ख़ास मिक़दार कमा कर लाना मुकर्रर किया हो उस पर जुमा वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मालिक अपने ग़ुलाम को साथ ले कर जामे मस्जिद को गया और ग़ुलाम को दरवाज़े पर छोड़ा कि सवारी की हिफ़ाज़त करे अगर जानवर की हिफ़ज़त में ख़लल न आये पढ़ ले।(आलमगीरी) मालिक ने ग़ुलाम को जुमा पढ़ने की इजाज़त दे दी जब भी वाजिब न हुआ और बिला मालिक की इजाज़त के अगर जुमा या ईद को गया अगर जानता है कि मालिक नाराज़ न होगा तो जाइज़ है वरना नहीं।(रद्दुल मुहतार)

मसअला :– नौकर, मज़दूर को जुमा पढ़ने से नहीं रोक सकता अलबत्ता अगर जामे मस्जिद दूर है तो जितना हरज हुआ है उसकी मज़दूरी में कम कर सकता है और मज़दूर उसका मुतालबा भी नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

(4)**मर्द होना** (5)**बालिग़ होना** (6)**आक़िल होना** यह दोनों शर्तें ख़ास जुमे के लिए नहीं बल्कि हर इबादत के वुजूब में अ़क्ल वाला और बालिग़ होना शर्त है। (7)**अंखियारा होना**।

मसअला :– एक चश्म (काना)और जिसकी निगाह कमज़ोर हो उस पर जुमा फ़र्ज़ है यूँही जो अन्धा मस्जिद में अज़ान के वक़्त बा–वुज़ू हो उस पर जुमा फ़र्ज़ है और वह नाबीना जो ख़ुद मस्जिदे जुमा तक बिला तकल्लुफ़ न जा सकता हो अगर्चे मस्जिद तक कोई ले जाने वाला हो उजरते मिस्ल यानी जो इस काम के लिए मुनासिब उजरत हो उस उजरत पर ले जाये या बिला उजरत ले जाये उस पर जुमा फ़र्ज़ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– बाज़ नाबीना बिला तकल्लुफ़ बग़ैर किसी की मदद के बाज़ारों रास्तों में चलते फिरते हैं और जिस मस्जिद में चाहें बिला पूछे जा सकते हैं उन पर जुमा फ़र्ज़ है। (रद्दुल मुहतार)

(8)**चलने पर क़ादिर होना।**

मसअ्ला :– अपाहिज पर जुमा फ़र्ज़ नहीं अगर्चे कोई ऐसा हो कि उसे उठाकर मस्जिद में रख आयेगा। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जिसका एक पाँव कट गया हो, फ़ालिज से बेकार हो गया हो अगर मस्जिद तक जा सकता हो तो उस पर जुमा फ़र्ज़ है वरना नहीं। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

(9)क़ैद में न होना मगर जब कि किसी दैन (क़र्ज़) की वजह से क़ैद किया गया हो और मालदार है यानी अदा करने पर क़ादिर है तो उस पर जुमा फ़र्ज़ है। (रद्दुल मुह्तार)

(10)बादशाह या चोर वग़ैरा किसी ज़ालिम का ख़ौफ़ न होना मुफ़लिस क़र्ज़दार को अगर क़ैद का अंदेशा हो तो उस पर फ़र्ज़ नहीं। (रद्दुल मुह्तार)

(11)मेंह (बारिश) या आँधी या ओला या सर्दी का न होना यानी इस क़द्र कि इन से नुक़सान का ख़ौफ़े सही हो।

मसअ्ला :– जुमे की इमामत हर वह मर्द कर सकता है जो और नमाज़ों में इमाम हो सकता हो अगर्चे उस पर जुमा फ़र्ज न हो जैसे मरीज़, मुसाफ़िर गुलाम (दुर्रे मुख़्तार)यअ्नी जबकि सुल्ताने इस्लाम या उसका नाइब या जिसको उसने इजाज़त दे दी बीमार हो या मुसाफ़िर तो यह सब नमाज़े जुमा पढ़ा सकते हैं या उन्होंने किसी मरीज़ या मुसाफ़िर या ग़ुलाम या किसी इमामत के लाइक़ शख़्स को इजाज़त दी हो या ब–ज़रूरत आम लोगों ने किसी ऐसे को इमाम मुक़र्रर किया जो इमामत कर सकता हो यह नहीं कि बतौरे खुद जिसका जी चाहे जुमा पढ़ा दे कि यूँ जुमा न होगा।

शहर में जुमा के दिन ज़ोहर पढ़ने के मसाइल

मसअ्ला :– जिस पर जुमा फ़र्ज़ है उसे शहर में जुमा हो जाने से पहले ज़ोहर पढ़ना मकरूहे तहरीमी है बल्कि इमाम इब्ने हुमाम रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने फ़रमाया हराम है और पढ़ लिया जब भी जुमे के लिए जाना फ़र्ज़ है और जुमा हो जाने के बअ्द ज़ोहर पढ़ने में कराहत नहीं बल्कि अब तो ज़ोहर ही पढ़ना फ़र्ज़ है अगर जुमा दूसरी जगह न मिल सके मगर जुमा तर्क करने का गुनाह उसके सर रहा। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुह्तार)

मसअ्ला :– यह शख़्स कि जुमा होने से पहले ज़ोहर पढ़ चुका था नादिम (शर्मिन्दा) होकर घर से जुमे की नियत से निकला अगर उस वक़्त इमाम नमाज़ में हो तो नमाज़े ज़ोहर जाती रही जुमा मिल जाये तो पढ़ ले वरना ज़ोहर की नमाज़ फिर पढ़े अगर्चे मस्जिद दूर होने के सबब जुमा न मिला हो। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जामे मस्जिद में यह शख़्स है जिसने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है और जिस जगह नमाज़ पढ़ी वहीं बैठा है तो जब तक जुमा शुरूअ् न करे ज़ोहर बातिल नहीं और अगर ब–क़स्दे जुमा वहाँ से हटा तो बातिल हो गई। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुल मुह्तार)

मसअ्ला :– यह शख़्स अगर मकान से निकला ही नहीं या किसी और ज़रूरत से निकला या इमाम के फ़ारिग़ हाने के वक़्त या फ़ारिग़ होने के बाद निकला या उस दिन जुमा पढ़ा ही न गया या लोगों ने जुमा पढ़ना तो शुरू किया था मगर किसी हादसे के सबब पूरा न किया तो इन सब सूरतों में ज़ोहर बातिल नहीं। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– जिन सूरतों में ज़ोहर बातिल होना कहा गया उस से मुराद फ़र्ज़ जाता रहना है कि यह नमाज़ अब नफ़्ल हो गई। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– जिस पर जुमा, फ़र्ज़ था उसने ज़ोहर की नमाज़ में इमामत की फिर जुमे को निकला तो

उसकी ज़ोहर बातिल है मगर मुक़तदियों में जो जुमा को न निकला उसके फ़र्ज़ बातिल न हुए।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जिस पर किसी उज़्र के सबब जुमा फ़र्ज़ न हो वह अगर ज़ोहर पढ़कर जुमे के लिए निकला तो उसकी नमाज़ भी जाती रही उन शराइत के साथ जो ऊपर ज़िक्र की गईं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मरीज़ या मुसाफ़िर या क़ैदी या कोई और जिस पर जुमा फ़र्ज़ नहीं उन लोगों को भी जुमे के दिन शहर में जमाअ़त के साथ ज़ोहर पढ़ना मकरूहे तहरीमी है ख़्वाह जुमा होने से पहले जमाअ़त करें या बाद में। यूहीं जिन्हें जुमा न मिला वह भी बग़ैर अज़ान व इक़ामत ज़ोहर की नमाज़ तन्हा–तन्हा पढ़ें जमाअत इनके लिए भी मना है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– उलमा फ़रमाते हैं जिन मस्जिद में जुमा नहीं होता उन्हें जुमे के दिन ज़ोहर के वक़्त बन्द रखें। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– गाँव में जुमे के दिन भी ज़ोहर की नमाज़ अज़ान व इक़ामत के साथ बा–जमाअत पढ़ें।

(**मसअ्ला** :– मअ्ज़ूर अगर जुमे के दिन ज़ोहर पढ़े तो मुस्तहब यह है कि नमाज़े जुमा हो जाने के बाद पढ़े और ताख़ीर न की तो मकरूह है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जिस ने जुमे का क़अ्दा पा लिया या सजदा सहव के बाद शरीक हुआ उसे जुमा मिल गया लिहाज़ा अपनी दो ही रकअ्तें पूरी करे (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– नमाज़े जुमा के लिए पहले से जाना और मिस्वाक करना और अच्छे और सफ़ेद कपड़े पहनना और तेल और ख़ुशबू लगाना और पहली सफ़ में बैठना मुस्तहब है और ग़ुस्ल सुन्नत।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– जब इमाम ख़ुतबे के लिए खड़ा हो उस वक़्त से नमाज़ ख़त्म होने तक नमाज़ व दूसरे ज़िक्र व हर क़िस्म का कलाम मना है अलबत्ता साहिबे तरतीब अपनी क़ज़ा नमाज़ पढ़ ले यूँही जो शख़्स सुन्नत या नफ़्ल पढ़ रहा है जल्द जल्द पूरी कर ले (दुर्रे मुख़्तार)

ख़ुतबे के बअ्ज़ दीगर मसाइल

मसअ्ला :– जो चीज़ें नमाज़ में हराम हैं मसलन खाना, पीना, सलाम, व जवाबे सलाम, वग़ैरा सब ख़ुतबे की हालत में हराम हैं यहाँ तक कि अम्र बिल मअ्रूफ़ (नेक काम के लिए कहना)हाँ ख़तीब अम्र बिल मअ्रूफ कर सकता है जब ख़ुतबा पढ़े तो तमाम हाज़िरीन पर सुनना और चुप रहना फ़र्ज़ जो लोग इमाम से दूर हों कि ख़ुतबे की आवाज़ उन तक नहीं पहुँचती उन्हें भी चुप रहना वाजिब है अगर किसी को बुरी बात करते देखें तो हाथ या सर के इशारे से मना कर सकते हैं ज़बान से नाजाइज़ है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ख़ुतबा सुनने की हालत में देखा कि अन्धा कुँए में गिरा चाहता है या किसी को बिच्छू वग़ैरा काटना चाहता है तो ज़बान से कह सकते हैं इशारा या दबाने से बता सकें तो इस सूरत में भी ज़बान से कहने की इजाज़त नहीं (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ख़तीब ने मुसलमानों के लिए दुआ की तो सामेईन को हाथ उठाना या आमीन कहना मना है, कहेंगे तो गुनहगार होंगे ख़ुतबे में दुरूद शरीफ़ पढ़ते वक़्त ख़तीब का दायें बायें मुँह करना बुरी बिदअ़त है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नामे पाक ख़तीब ने लिया तो

हाज़िरीन दिल में दूरूद शरीफ़ पढ़ें ज़बान से पढ़ने की इस वक़्त इजाज़त नहीं यूँही सहाबए किराम के ज़िक्र पर इस वक़्त रदियल्लाहु तआला अन्हुम ज़बान से कहने की इजाज़त नहीं(दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– खुतबए जुमे के अ़लावा और खुतबों का सुनना भी वाजिब है मसलन खुतबाए ईदैन व निकाह वग़ैरहुमा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– पहली अज़ान होते ही सई (यअ्नी जुमे के लिए कोशिश)वाजिब है और ख़रीद, फ़रोख़्त वग़ैरा उन चीज़ों का जो सई के मुनाफ़ी हों यअ्नी रूकावट बने उन का छोड़ देना वाजिब यहाँ तक कि रास्ता चलते हुए अगर ख़रीद व फ़रोख़्त की तो यह भी नाजाइज़ और मस्जिद में ख़रीद व फ़रोख़्त तो सख़्त गुनाह है और खाना खा रहा था कि अज़ाने जुमा की आवाज़ आई अगर यह अंदेशा हो कि खायेगा तो जुमा फौत हो जायेगा तो खाना छोड़ दे और जुमे को जाये जुमे के लिए इत्मिनान व क़रार के साथ जाये (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ख़तीब जब मिम्बर पर बैठे तो उस के सामने दो बारा अज़ान दी जाये (मोतून)यह हम ऊपर बयान कर आये कि, सामने से यह मुराद नहीं कि मस्जिद के अन्दर मिम्बर से मुत्तसिल (यअ्नी क़रीब) हो कि मस्जिद के अन्दर अज़ान कहने को फ़ुक़हाए इस्लाम मकरूह फ़रमाते हैं।

मसअ्ला :– अकसर जगह देखा गया कि अज़ाने सानी यअ्नी खुतबे से पहले की दूसरी अज़ान पस्त (धीमी)आवाज़ से कहते हैं यह न चाहिए बल्कि उसे भी बलन्द आवाज़ से कहें कि इससे भी एअ्लान मक़सूद है और जिसने पहली न सुनी उसे सुनकर हाज़िर हो। (बहर वग़ैरा)

मसअ्ला :– खुतबा ख़त्म हो जाये तो इक़ामत कही जाये खुतबा व इक़ामत के दरमियान दुनिया की बात करना मकरूह है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जिसने खुतबा पढ़ा वही नमाज़ पढ़ाये और अगर दूसरे ने पढ़ा दी जब भी हो जायेगी जब कि वह माज़ून हो यानी हुक्म दिया गया हो यूँही अगर नाबालिग़ ने बादशाह के हुक्म से खुतबा पढ़ा और बालिग़ ने नमाज़ पढ़ाई जाइज़ है।

मसअ्ला :– नमाज़े जुमा में बेहतर यह है कि पहली रकअ्त में 'सूरए जुमा और दूसरी में 'सूरए मुनाफ़िक़ून'या पहली में 'सूरए अअ्ला और दूसरी में सूरए ग़ाशिया पढ़े मगर हमेशा इन्हीं को न पढ़े कभी कभी और सूरतें भी पढ़े।(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जुमे के दिन अगर सफ़र किया और ज़वाल से पहले शहर की आबादी से बाहर हो गया तो हरज़ नहीं वरना मना है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– हजामत बनवाना और नाख़ून तरशवाना जुमे के बाद अफ़ज़ल है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– सवाल करने वाला अगर नमाज़ियों के आगे से गुज़रता हो या गर्दनें फलाँगता हो या बिला ज़रूरत माँगता हो तो सवाल भी नाजाइज़ है और ऐसे साइल (माँगने वाले) को देना भी नाजाइज़। (रद्दुल मुहतार)बल्कि मस्जिद में अपने लिए मुतलक़न सवाल की इजाज़त नहीं।

मसअ्ला :– जुमे के दिन ,या रात में सूरए कहफ़ की तिलावत अफ़ज़ल है ज़्यादा बुज़ुर्गी रात में पढ़ने की है। नसाई व बैहक़ी अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं जो शख़्स सूरए कहफ़ जुमे के दिन पढ़े उसके लिए दोनों जुमों के दरमियान नूर रौशन होगा और दारमी की रिवायत में जो शबे जुमा में सूरए कहफ़ पढ़े उसके लिए वहाँ से कअ्बा तक नूर रौशन होगा और अबूबक्र इब्ने मर्दविया की रिवायत इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से है कि फ़रमाते

हैं जो जुमे के दिन सूरए कहफ़ पढ़े उसके कदम से आसमान तक नूर बलन्द होगा जो कियामत के लिए रौशन होगा और दो जुमों के दरमियान जो गुनाह हुए हैं बख़्श दिये जायेंगे। इस हदीस की इसनाद में कोई हरज नहीं। 'सूरए दुख़ान' पढ़ने की भी फ़ज़ीलत आई है तबरानी ने अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स जुमे के दिन या रात में 'सूरए दुख़ान' पढ़े उसके लिये अल्लाह तआला जन्नत में एक घर बनायेगा और अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि उसकी मग़फ़िरत हो जायेगी और एक रिवायत में है जो किसी रात में 'सूरए दुख़ान' पढ़े उसके लिये सत्तर हज़ार फ़रिश्ते इस्तिग़फ़ार करेंगे। जुमे के दिन या रात में जो सूरए यासीन पढ़े उसकी मग़फ़िरत हो जाये।

फ़ायदा :– जुमे के दिन रूहें जमा होती हैं लिहाज़ा इसमें ज़्यारते कुबूर करनी चाहिए और इस रोज़ जहन्नम नहीं भड़काया जाता। (दुर्रे मुख़्तार)

ईदैन का बयान

अल्लाह तआला फ़रमाता है:–

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ

तर्जमा :– रोज़ों की गिनती पूरी करो और अल्लाह की बड़ाई बोलो कि उसने तुम्हें हिदायत फ़रमाई। और फ़रमाता है।

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝

तर्जमा :– अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ और कुर्बानी कर।

हदीस न.1 :– इब्ने माजा अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो ईदैन की रातों में कियाम करे उसका दिल न मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मरेंगे।

हदीस न.2 :– अस्बहानी मआज़ इब्ने जबल रदियल्लाहु तआला अन्हुम से रावी कि फ़रमाते हैं जो पाँच रातों में शब बेदारी करे उसके लिए जन्नत वाजिब है ज़िलहिज्जा की आठवीं, नवीं ,दसवीं, रातें और ईदुलफ़ित्र की रात और शाबान की पन्द्रहवीं यअ़नी शबे बराअत।

हदीस न.3 :– अबू दाऊद अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीने में तशरीफ़ लाये उस ज़माने में अहले मदीना साल में दो दिन खुशी करते थे मेहरगान(पतझड़ का मौसम)व नैरोज़ फ़रमाया यह क्या दिन हैं लोगों ने अर्ज़ किया जाहिलियत में हम इन दिनों में खुशी करते थे। फ़रमाया अल्लाह तआला ने उनके बदले में इन से बेहतर दो दिन तुम्हें दिये ईदे अज़हा व ईदुल फ़ित्र के दिन।

हदीस न.4 व 5 :– तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व दारमी व बुरीदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूरे अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ईदुल फ़ित्र के दिन कुछ खाकर नमाज़ के लिए तशरीफ़ ले जाते और ईद अज़हा को न खाते जब तक नमाज़ न पढ़ लेते और बुख़ारी की रिवायत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से कि ईदुल फ़ित्र के दिन तशरीफ़ न ले जाते जब तक चन्द खजूरें न तनावुल फ़रमा लेते और ख़जूरें ताक़ (बे जोड़) होतीं यानी तीन, पाँच, सात वग़ैरा।

हदीस न.6 :– तिर्मिज़ी व दारमी ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि ईद को एक रास्ते से तशरीफ़ ले जाते और दूसरे से वापस होते।

हदीस न.7 :– अबू दाऊद व इब्ने माजा की रिवायत उन्हीं से है कि एक मर्तबा ईद के दिन बारिश

हुई तो मस्जिद में हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज़ पढ़ी।
हदीस न.8 :– सहीहैन में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु
तआला अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज़ दो रकअत पढ़ी न इसके क़ब्ल नमाज़ पढ़ी न बाद।
हदीस न.9 :– सही मुस्लिम शरीफ़ में है जाबिर इब्ने सुमरा रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं मैंने
हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ ईद की नमाज़ पढ़ी एक दो मर्तबा नहीं
(बल्कि बारहा) न अज़ान हुई न इक़ामत।

मसाइले फ़िक़्हिय्या

ईदैन की नमाज़ वाजिब है मगर सब पर नहीं बल्कि उन्हीं पर जिन पर जुमा वाजिब है और
इसकी अदा की वही शर्तें हैं जो जुमे के लिए हैं सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है कि जुमे में ख़ुतबा शर्त है और
ईदैन में सुन्नत अगर जुमे में ख़ुतबा न पढ़ा तो जुमा न हुआ और इसमें न पढ़ा तो नमाज़ हो गई
मगर बुरा किया। दूसरा फ़र्क़ यह है कि जुमे का ख़ुतबा नमाज़ से पहले है और ईदैन का नमाज़ के
बाद अगर पहले पढ़ लिया तो बुरा किया मगर नमाज़ हो गई लौटाई नहीं जायेगी और ख़ुतबे को
भी नहीं दोहराया जायेगा और ईदैन में न अज़ान है न इक़ामत सिर्फ़ दो बार इतना कहने की
इजाज़त है 'अस्सलातु जामिअह' ।(आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार वग़ैरहुमा) बिला वजह ईद की नमाज़
छोड़ना गुमराही व बुरी बिदअत है। (जौहरा)
मसअला :– गाँव में ईदैन की नमाज़ पढ़ना मकरूहे तहरीमी है। (दुर्रे मुख़्तार)
मसअला :– ईद के दिन यह उमूर (काम) मुस्तहब हैं। हजामत बनवाना 2.नाख़ून तरशवाना 3. गुस्ल
करना 4. मिस्वाक करना 5. अच्छे कपड़े पहनना नया हो तो नया वरना धुला हुआ। 6. अँगूठी
पहनना 7. ख़ुश्बू लगाना 8. सुबह की नमाज़ मस्जिदे मुहल्ला में पढ़ना 9.ईदगाह जल्द जाना
10.नमाज़ से पहले सदक़ए फ़ित्र अदा करना 11. ईदगाह को पैदल जाना 12. दूसरे रास्ते से वापस
आना 13. नमाज़ को जाने से पहले चन्द खजूरें खा लेना तीन, पाँच सात या कम या ज़्यादा मगर
ताक़ (बे जोड़) हों, खजूरें न हों तो कोई मीठी चीज़ खा ले नमाज़ से पहले कुछ न खाया
तो गुनहगार न हुआ मगर इशा तक न खाया तो इताब किया जायेगा। (कुतुबे कसीरह)
मसअला :– सवारी पर जाने में भी हरज नहीं मगर जिसको पैदल जाने पर क़ुदरत हो उसके लिए
पैदल जाना अफ़ज़ल है और वापसी में सवारी पर आने में हरज नहीं। (आलमगीरी जौहरा)
मसअला :– ईदगाह को नमाज़ के लिए जाना सुन्नत है अगर्चे मस्जिद में गुन्जाइश हो और ईदगाह
में मिम्बर बनाने या मिम्बर ले जाने में हरज नहीं। (रद्दुल मुहतार वग़ैरा)
मसअला :– ख़ुशी ज़ाहिर करना, कसरत से सदक़ा देना, ईदगाह को इत्मीनान व वक़ार और नीची
निगाह किये जाना, आपस में मुबारक बाद देना मुस्तहब है और रास्ते में बलन्द आवाज़ से तकबीर न
कहे। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)
मसअला :– नमाज़े ईद से क़ब्ल(पहले) नफ़्ल नमाज़ मुतलक़न मकरूह है ईदगाह में हो या घर
उस पर ईद की नमाज़ वाजिब हो या नहीं यहाँ तक कि औरत अगर चाश्त की नमाज़ घर में पढ़ना
चाहे तो नमाज़ हो जाने के बाद पढ़े और नमाज़े ईद के बाद ईदगाह में नफ़्ल पढ़ना मकरूह है घर
में पढ़ सकता है बल्कि मुस्तहब है कि चार रकअतें पढ़े यह अहकाम ख़वास के हैं अवाम अगर नफ़्ल

पढ़ें अगर्चे नमाज़े ईद से पहले अगर्चे ईदगाह में उन्हें मना न किया जाये।(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– नमाज़े ईद का वक़्त बक़द्रे एक नेज़ा आफ़ताब बलन्द होने से ज़हवए कुबरा यानी निस्फ़ुन्नहार शरई तक है मगर ईदुल फ़ित्र में देर करना और ईद अज़हा में जल्द पढ़ लेना मुस्तहब है और सलाम फेरने के पहले ज़वाल हो गया तो नमाज़ जाती रही।(दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा) निस्फ़ुन्नहारे शरई का बयान दूसरे हिस़्से में गुज़र चुका।

नमाज़े ईद का तरीक़ा

यह है कि दो रकअ्त वाजिब ईदुल फ़ित्र या ईद अज़हा की नियत करके कानों तक हाथ उठाये और 'अल्लाहु अकबर' कह कर हाथ बाँध ले फिर सना पढ़े फिर कानों तक हाथ उठाये और 'अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ छोड़ दे फिर हाथ उठाये और 'अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़दे फिर हाथ उठाये और अल्लाह हुअकबर कह कर हाथ बाँध ले यअ्नी पहली तकबीर में हाथ बाँधे उसके बअ्द दो तकबीरों में हाथ लटकाये फिर चौथी तकबीर में बाँध ले इसको यूँ याद रखें कि जहाँ तकबीर के बाद कुछ पढ़ना है वहाँ हाथ बाँध लिये जायें और जहाँ पढ़ना नहीं वहाँ हाथ छोड़ दिये जायें फिर इमाम 'अऊज़ुबिल्लाह'और बिस्मिल्लाह' आहिस्ता पढ़कर जहर(यअ्नी बलन्द आवाज़)के साथ सूरए फ़ातिहा और सूरत पढ़े फिर रूकूअ् करे और दुसरी रकअ्त में पहले सूरए फ़ातिहा और सूरत पढ़े फिर तीन बार कान तक हाथ ले जाकर 'अल्लाहु अकबर'कहे और हाथ न बाँधे और चौथी बार बग़ैर हाथ उठाये 'अल्लाहु अकबर' कहता हुआ रूकूअ् में जाये इस से मअ्लूम हो गया कि ईदैन में ज़ाइद तकबीरें छह हुई तीन पहली में क़िरात से पहले और तकबीरे तहरीमा के बाद और तीन दूसरी में क़िरात के बाद और तकबीरे रूकूअ् से पहले और इन सभी छः तकबीरों में हाथ उठाये जायेंगे और हर दो तकबीरों के दरमियान तीन तस्बीह की क़द्र ठहरे और ईदैन में मुस्तहब यह है कि पहली में 'सूरए जुमा' दूसरी में 'सूरए मुनाफ़िक़ून' पढ़े या पहली में 'सूरए अअ्ला' और दूसरी में 'सूरए ग़ाशिया।(दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– इमाम ने छह तकबीरों से ज़्यादा कहीं तो मुक़तदी भी इमाम की पैरवी करे मगर तेरह से ज़्यादा में इमाम की पैरवी नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– पहली रकअ्त में इमाम के तकबीरें कहने के बअ्द मुक़तदी शामिल हुआ तो उसी वक़्त तीन से ज़्यादा कही हों और अगर इसने तक़बीरें न कहीं कि इमाम रूकूअ् में चला गया तो खड़े खड़े न कहे बल्कि इमाम के साथ रुकूअ् में जाये और रूकूअ् में तकबीर कह ले और अगर इमाम को रुकूअ् में पाया और ग़ालिब गुमान है कि तकबीरें कह कर इमाम को रुकूअ् में पा लेगा तो खड़े–खड़े तकबीरें कहे फिर रुकूअ् में जाये वरना'अल्लाहु अकबर' कह कर रुकूअ् में जाये औ तीन तकबीरें कह ले अगर्चे इमाम ने क़िरात शुरूअ् कर दी हो और तीन ही कहे अगर्चे इमाम नेर रुकूअ् में तकबीरें कहे फिर अगर इसने रुकूअ् में तकबीरें पूरी न की थीं कि इमाम ने सर उठा लिया तो बाक़ी साक़ित हो गईं और अगर इमाम रूकूअ् से उठने के बअ्द शामिल हुआ तो अब तकबीरें न कहे बल्कि जब अपनी पढ़े उस वक़्त कहे और रुकूअ् में जहाँ तकबीर कहना बताया गया उसमें हाथ न उठाये और अगर दूसरी रकअ्त में शामिल हुआ तो पहली रकअ्त की तकबीरें अब न कहे बल्कि जब अपनी फ़ौत शुदा(छूटी हुई)पढ़ने खड़ा हो उस वक़्त कहे और दूसरी रकअ्त की तकबीरें अगर इमाम के साथ पा जाये तो बेहतर वरना इसमें भी वही तफ़सील है जो पहली रकअ्त के बारे में ज़िक्र की गई। (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जो शख़्स इमाम के साथ शामिल हुआ फिर सो गया या उसका वुजू जाता रहा अब जो पढ़े तो तकबीरें उतनी कहे जितनी इमाम ने कहीं अगर्चे उसके मज़हब में उतनी न थीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– इमाम तकबीर कहना भूल गया और रुकूअ् में चला गया तो कियाम की तरफ न लौटे न रुकूअ् में तकबीर कहे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :– पहली रकअ्त में इमाम तकबीरें भूल गया और किरात शुरूअ् कर दी तो किरात के बअ्द कहले या रूकूअ् में और किरात का इआदा न करे यअ्नी लौटाये नहीं। (गुनिया,आलमगीरी)

मसअ्ला :– इमाम ने तकबीराते ज़वाइद(यअ्नी वह छः तकबीरें जो ईदैन की नमाज़ में ज़्यादा हैं)में हाथ न उठाये तो मुक़तदी उसकी पैरवी न करें बल्कि हाथ उठायें। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– नमाज़ के बअ्द इमाम दो खुतबे पढ़े और खुतबए जुमा में जो चीजें सुन्नत हैं इसमें भी सुन्नत हैं और जो वहाँ मकरूह यहाँ भी मकरूह सिर्फ दो बातों में फर्क है एक यह कि जुमे के पहले खुतबे से पेश्तर ख़तीब का बैठना सुन्नत था और इसमें न बैठना सुन्नत है। दूसरे यह कि इसमें पहले खुतबे से पेश्तर नौ बार और दूसरे के पहले सात बार और मिम्बर से उतरने के पहले चौदह बार 'अल्लाहु अकबर' कहना सुन्नत है और जुमे में नहीं। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ईदुल फ़ित्र के खुतबे में सदक़ए फ़ित्र के अहकाम की तअ्लीम करे वह पाँच बातें हैं। 1.किस पर वाजिब है। 2.किस के लिए वाजिब है 3.कब वाजिब है 4.कितना वाजिब है. 5. और किस चीज़ से वाजिब है, बल्कि मुनासिब यह है कि ईद से पहले जो जुमा पढ़े उसमें भी यह अहकाम बता दिये जायें कि पहले से लोग वाकिफ़ हो जायें और ईदे अज़हा के खुतबे में कुर्बानी के अहकाम और तकबीराते तश्रीक़ की तअ्लीम की जाये। (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी)

नोट : तकबीराते तश्रीक़ उन तकबीरों को कहते हैं जो बक़रईद के महीने में नौ तारीख़ की फज्र से तेरह तारीख़ की अस्र तक हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद तीन मरतबा कही जाती हैं।

मसअ्ला :– इमाम ने नमाज़ पढ़ ली और कोई शख़्स बाकी रह गया ख़्वाह वह शामिल ही न हुआ था या शामिल तो हुआ था मगर इसकी नमाज़ फ़ासिद हो गई तो अगर दूसरी जगह मिल जाये पढ़ ले वरना नहीं पढ़ सकता। हाँ बेहतर यह है कि यह शख़्स चार रकअ्त चाश्त की नमाज़ पढ़े(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– किसी उज़्र के सबब ईद के दिन नमाज़ न हो सकी (मसलन सख़्त बारिश हुई या बादल के सबब चाँद नहीं देखा गया और गवाही ऐसे वक़्त गुज़री कि नमाज़ न हो सकी या बादल था और नमाज़ ऐसे वक़्त ख़त्म हुई कि ज़वाल हो चुका था तो दूसरे दिन पढ़ी जाये और दुसरे दिन भी न हुई तो ईदुल फ़ित्र की नमाज़ तीसरे दिन नहीं हो सकती,और दूसरे दिन भी नमाज़ का वही वक़्त है जो पहले दिन था यअ्नी एक नेज़ा आफताब बलन्द होने से निसफुन्नहारे शरई तक और बिला उज़्र ईदुल फ़ित्र की नमाज़ पहले दिन न पढ़ी तो दूसरे दिन नहीं पढ़ सकते।(आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ईद अज़हा तमाम अहकाम में ईदुल फ़ित्र की तरह है सिर्फ बाज़ बातों में फ़र्क है इसमें मुस्तहब यह है कि नमाज़ से पहले कुछ न खाये अगर्चे कुर्बानी न करे और खा लिया तो कराहत नहीं और रास्ते में बलन्द आवाज़ से तकबीर कहता जाये और ईद अज़हा की नमाज़ उज़्र की वजह से बारहवीं तक बिला कराहत मुअख़्ख़र कर सकते हैं यानी बारहवीं तक पढ़ सकते हैं, बारहवीं के बअ्द फिर नहीं हो सकती और बिला उज़्र दसवीं के बअ्द मकरूह है। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– कुर्बानी करनी हो मुस्तहब यह है कि पहली से दसवीं ज़िलहिज्जा तक न हजामत

बनवाए न नाखुन तरशवाए। (रदुल मुहतार)
मसअला :– अर्फ़े के दिन यअनी नवीं ज़िलहिज्जा को लोगों का किसी जगह जमा हो कर हाजियों की तरह वुकूफ़ करना और ज़िक्र व दुआ में मशगूल रहना सही यह है कि कुछ मुज़ाएका (हरज) नहीं जबकि लाज़िम व वाजिब न जाने और अगर किसी दूसरी गरज़ से जमा हुए मसलन नमाज़े इस्तिस्का पढ़नी है जब तो बिला इख़्तिलाफ़ जाइज़ है और असलन(बिल्कुल) हरज नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)
मसअला :– ईद की नमाज़ के बअ्द मुसाफ़हा व मुआनका यअनी गले मिलना जैसा उमूमन मुसलमानों में रिवाज है बेहतर है कि इसमें अपनी खुशी का इज़हार है। (विशाहुलजय्यद)
तकबीरे तश्रीक़ के मसाइल
मसअला :– नवीं ज़िलहिज्जा की फ़ज्र से तेरहवीं की अस्र तक हर नमाज़े फ़र्ज़े पंजगाना के बाद जो जमाअत मुस्तहब्बा के साथ अदा की गई एक बार तकबीर बलन्द आवाज़ से कहना वाजिब है और तीन बार अफ़ज़ल,इसे तकबीरे तश्रीक कहते हैं वह यह है :–
ﺍَﻟﻠّٰﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍَﻟﻠّٰﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﻟَﺎ ﺍِﻟٰﻪَ ﺍِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠّٰﻪُ ﻭَﺍﻟﻠّٰﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﺍَﻟﻠّٰﻪُ ﺍَﻛْﺒَﺮُ ﻭَﻟِﻠّٰﻪِ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ. (तनवीरुल अबसार)
मसअला :– तकबीरे तश्रीक़ सलाम फेरने के बअ्द फ़ौरन वाजिब है यअनी जब तक कोई ऐसा फ़ेअ्ल न किया हो कि उस नमाज़ पर बिना न कर सके। अगर मस्जिद से बाहर हो गया या कस्दन (जानबुझ कर)वुज़ू तोड़ दिया या कलाम किया अगर्चे सहवन (भूलकर)तो तकबीर साकित हो गई और बिला क़स्द यानी बिला इरादा वुज़ू टूट गया तो कह ले। (दुर्रे मुख़्तार,रदुल मुहतार)
मसअला :– तकबीरे तश्रीक उस पर वाजिब है जो शहर में मुक़ीम हो या जिसने उसकी इक़्तिदा की अगर्चे औरत या मुसाफ़िर या गाँव का रहने वाला और अगर उसकी इक़्तिदा न करें तो इन पर वाजिब नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअला :– नफ़्ल पढ़ने वाले ने फ़र्ज़ वाले की इक़्तिदा की तो इमाम की पैरवी में इस मुक़तदी पर भी वाजिब है अगर्चे इमाम के साथ इसने फ़र्ज़ न पढ़े और मुक़ीम ने मुसाफ़िर की इक़्तिदा की तो मुक़ीम पर वाजिब है अगर्चे इमाम पर वाजिब नहीं।(दुर्रे मुख़्तार,रदुल मुहतार)
मसअला :– गुलाम पर तकबीरे तश्रीक़ वाजिब है और औरतों पर वाजिब नहीं अगर्चे जमाअ़त से नमाज़ पढ़ी। हाँ अगर मर्द के पीछे औरत ने पढ़ी और इमाम ने उसके इमाम होने की नियत की तो औरत पर भी वाजिब है मगर आहिस्ता कहे। यूँही जिन लोगों ने बरहना नमाज़ पढ़ी उन पर भी वाजिब नहीं अगर्चे जमाअ़त करें कि उनकी जमाअ़त जमाअ़ते मुस्तहब नहीं। (दुर्रे मुख़्तार,जौहरा वग़ैराहुमा)
मसअला :– नफ़्ल व सुन्नत व वित्र के बअ्द तकबीर वाजिब नहीं और जुमे के बअ्द वाजिब है और नमाज़े ईद के बअ्द भी कह ले। (दुर्रे मुख़्तार)
मसअला :– मसबूक़(जिसकी शुरूअ् से रकअ्त छूटे)व लाहिक़(जिसकी दरमियान से रकअ्त छूटे)पर तकबीर वाजिब है मगर खुद सलाम फेरें उस वक़्त कहें और अगर इमाम के साथ कह ली तो नमाज़ फ़ासिद न हुई और नमाज़ ख़त्म करने के बाद तकबीर का इआदा भी नहीं यअनी लौटाना भी नहीं। (रदुल मुहतार)
मसअला :– और दिनों में नमाज़ क़ज़ा हो गई थी अय्यामे तश्रीक़ में उसकी क़ज़ा पढ़ी तो तकबीर वाजिब नहीं। यूँहीं इन दिनों की नमाज़ें और दिनों में पढ़ें जब भी वाजिब नहीं। यूहीं गुज़रे हुए साल

के अय्यामे तशरीक़ की क़ज़ा नमाज़ें इस साल के अय्यामे तशरीक़ में पढ़ें जब भी वाजिब नहीं हाँ अगर इसी साल के अय्यामे तशरीक़ की क़ज़ा नमाज़ें इसी साल के इन्हीं दिनों में जमाअ़त से पढ़े तो वाजिब है। (रद्दुल मुहतार)

नोट :– वह दिन, जिनमें तकबीरे तशरीक़ कही जाती है उन्हें अय्यामे तशरीक़ कहते हैं।

मसअ्ला :– मुनफ़रिद यअ्नी तन्हा नमाज़ पढ़ने वाले पर तकबीर वाजिब नहीं (जौहरा नय्यिरा) मगर मुनफ़रिद भी कह ले कि साहिबैन के नज़दीक इस पर भी वाजिब है।

मसअ्ला :– इमाम ने तकबीर न कही जब भी मुक़तदी पर कहना वाजिब है अगर्चे मुक़तदी मुसाफ़िर या देहाती या औ़रत हो। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– इन तारीख़ों में अगर आ़म लोग बाज़ारों में एलान के साथ तकबीरें कहें तो उन्हें मना न किया जाये। (दुर्रे मुख़्तार)

गहन की नमाज़

हदीस न.1 :– सहीहैन में अबू मूसा अशअ़री रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के अ़हदे करीम में एक मर्तबा गहन लगा मस्जिद में तशरीफ़ लाये और बहुत त़वील(लम्बा)क़ियाम व रुकूअ़ व सुजूद के साथ नमाज़ पढ़ी कि मैंने कभी ऐसा करते न देखा और यह फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला किसी की मौत व ह़यात के सबब अपनी यह निशानियाँ ज़ाहिर नहीं फ़रमाता लेकिन इनसे अपने बन्दों को डराता है। लिहाज़ा जब इनमें से कुछ देखो तो ज़िक्र व दुआ़ व इस्तिग़फ़ार की त़रफ़ घबरा कर उठो।

हदीस न.2 :– नीज़ उन्हीं में इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि लोगों ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह! हमने हुज़ूर को देखा कि किसी चीज़ के लेने का क़स्द (इरादा)फ़रमाते हैं फिर पीछे हटते देखा। फ़रमाया मैंने जन्नत को देखा और उससे एक(गुच्छा) लेना चाहा और अगर ले लेता तो जब तक दुनिया बाक़ी रहती तुम उससे खाते और दोज़ख़ को देखा और आज के मिस्ल कोई ख़ौफ़नाक मन्ज़र कभी न देखा और मैंने देखा कि अकसर दोज़ख़ी औ़रतें हैं। अ़र्ज़ की क्यूँ या रसूलल्लाह! (स़ल्लल्लाहु त़आ़ला अ़लैहि वस़ल्लम) फ़रमाया कि कुफ़्र करती हैं। अ़र्ज़ की गई अल्लाह के साथ कुफ़्र करती हैं फ़रमाया शौहर की नाशुक्री करती हैं और एहसान का कुफ़रान करती हैं अगर तू उनके साथ उम्र भर एहसान करे फिर कोई बात भी ख़िलाफ़े मिज़ाज देखेगी कहेगी मैंने कभी कोई भलाई तुम से देखी ही नहीं।

हदीस न.3 :– सही बुख़ारी शरीफ़ में हज़रत असमा बिन्ते सिद्दीक़ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी फ़रमाती हैं हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने आफ़ताब गहन में ग़ुलाम आज़ाद करने का हुक्म फ़रमाया।

हदीस न.4 :– सुनने अरबअ़ में सुमरा इब्ने जुन्दुब रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कहते हैं हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की आवाज़ नहीं सुनते थे य़ानी क़िरात आहिस्ता की।

मसाइले फ़िक़्हिय्या

सुरज गहन की नमाज़ सुन्नते मोअक्कदा है और चाँद गहन की मुस्तहब। सूरज गहन की

नमाज़ जमाअ़त से पढ़नी मुस्तहब है और तन्हा–तन्हा भी हो सकती है और जमाअ़त से पढ़ी जाये तो ख़ुतबे के सिवा तमाम शराइते जुमा इसके लिये शर्त हैं यअ़्नी वही शख़्स उसकी जमाअ़त क़ाइम कर सकता है जो जुमा की कर सकता है वह न हो तो तन्हा–तन्हा पढ़ें घर में या मस्जिद में।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– गहन की नमाज़ उसी वक़्त पढ़ें जब आफ़ताब गहन हो यानी जब गहन लग रहा हो, गहन छूटने के बअ़्द नहीं,और अगर गहन छुटना शुरूअ़् हो गया मगर अभी बाक़ी है उस वक़्त भी शुरूअ़् कर सकते हैं और गहन की हालत में उस पर अब्र (बादल) आ जाए जब भी नमाज़ पढ़ें। (जौहरा नय्यिरा)

मसअ्ला :– ऐसे वक़्त गहन लगा कि उस वक़्त नमाज़ मना है तो नमाज़ न पढ़ें बल्कि दुआ में मशग़ूल रहें और इसी हालत में डूब जाये तो दुआ ख़त्म कर दें और मग़रिब की नमाज़ पढ़ें। (जौहरा,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– यह नमाज़ और नवाफ़िल की तरह दो रकअ़तें पढ़ें यअ़्नी हर रकअ़त में एक रुकूअ़् और दो सजदे करें न इसमें अज़ान है न इक़ामत न बलन्द आवाज़ से क़िरात और नमाज़ के बअ़्द दुआ करें यहाँ तक कि आफ़ताब खुल जाये और दो रकअ़त से ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं ख़्वाह दो रकअ़त पर सलाम फेरें या चार पर। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर लोग जमा न हुए तो इन लफ़्ज़ों से पुकारें 'अस्सलातु जामिआ'(दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अफ़ज़ल यह है कि ईदगाह या जामे मस्जिद में इसकी जमाअ़त क़ाइम की जाये और अगर दूसरी जगह क़ाइम करें जब भी हरज नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर याद हो तो 'सूरए बक़रह' और 'सूरए आले इमरान की मिस्ल बड़ी बड़ी सूरतें पढ़ें और रुकू व सजूद में भी तूल दें और नमाज़ के बअ़्द दुआ में मशग़ूल रहें यहाँ तक कि पूरा आफ़ताब खुल जाये और यह भी जाइज़ है कि नमाज़ में तख़्फ़ीफ़ करें और दुआ में तूल, ख़्वाह इमाम क़िब्ला–रू दुआ करे या मुक़तदियों की तरफ़ मुँह करके खड़ा हो और यह बेहतर है,और सब मुक़तदी आमीन कहें अगर दुआ के वक़्त असा या कमान पर टेक लगाकर खड़ा हो तो यह भी अच्छा है, दुआ के लिए मिम्बर पर न जाये। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– सूरज गहन और जनाज़े का इजतिमा हो तो पहले जनाज़ा पढ़ें। (जौहरा)

मसअ्ला :– चाँद गहन की नमाज़ में जमाअ़त नहीं ,इमाम मौजूद हो या न हो बहरहाल तन्हा–तन्हा पढ़ें। (दुर्रे मुख़्तार,वग़ैरा) इमाम के अलावा दो तीन आदमी जमाअ़त कर सकते हैं।

मसअ्ला :– तेज़ आँधी आये या दिन में सख़्त तारीकी(अँधेरा)छा जाये या रात में ख़ौफ़नाक रौशनी हो या लगातार कसरत से मेंह बरसे या क़सरत से ओले पड़ें या आसमान सुर्ख़ हो जाये या बिजलियाँ गिरें या कसरत से तारे टूटें या ताऊ़न वग़ैरा वबा फैले या ज़लज़ले आयें या दुश्मन का ख़ौफ़ हो या और कोई दहशत नाक अम्र पाया जाये तो इन सबके लिए दो रकअ़त नमाज़ मुस्तहब है। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार वग़ैरहुमा)

चन्द हदीसें जिनमें आँधी वग़ैरा का ज़िक्र है इस मौक़े पर बयान कर देना मुनासिब मअ़्लूम होता है कि मुसलमान उन पर अ़मल करें। और तौफ़ीक़ अल्लाह तआला ही की तरफ़ से है।

हदीस न.1 :– उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अ़न्हा से सही बुख़ारी व सही मुस्लिम वग़ैराहुमा में मरवी फ़रमाती हैं जब तेज़ हवा चलती तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम यह दुआ पढ़ते। اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَ خَيْرَ مَا فِيْهَا وَ خَيْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِه

وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ.

तर्जमा:– " ऐ अल्लाह! मैं तुझ से इसके ख़ैर का सवाल करता हूँ और उसके ख़ैर का जो इसमें है और उसके ख़ैर का जिसके साथ यह भेजी गई और तेरी पनाह माँगता हूँ इसके शर से और उस चीज़ के शर से जो इसमें है और उसके शर से जिसके साथ यह भेजी गई।

हदीस न.2 :– इमाम शाफ़िई अबू दाऊद व इब्ने माजा व बैहक़ी ने दावाते कबीर में रिवायत की कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम हवा अल्लाह तआ़ला की रहमत से है, रहमत व अज़ाब लाती है उसे बुरा न कहो और अल्लाह से उसके ख़ैर का सवाल करो और उसके शर से पनाह माँगो।

हदीस न.3 :– तिर्मिज़ी में अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि एक शख़्स ने हुजूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के सामने हवा पर लअ़नत भेजी। फ़रमाया हवा पर लअ़नत न भेजो कि वह मामूर (हुक्म दी गई)है और जो शख़्स किसी शय पर लअ़नत भेजे और वह लअ़नत की मुस्तहक़ न हो तो वह लअ़नत उसी भेजने वाले पर लौट आती है।

हदीस न.4 :– अबू दाऊद नसई व इब्ने माजा व इमाम शाफ़िई ने उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की कहती हैं जब आसमान पर अब्र आता तो हुजूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम कलाम तर्क फ़रमा देते और उसकी तरफ़ मुतवज्जेह होकर यह दुआ पढ़ते।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِیْهِ.

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह ! मैं तेरी पनाह माँगता हूँ उस चीज़ के शर से जो इसमें है"।

अगर खुल जाता हम्द करते और बरसता तो यह दुआ पढ़ते :–

اَللّٰهُمَّ سَقْيًا نَافِعًا

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह! ऐसा पानी बरसा जो नफ़ा पहुँचाये"।

हदीस न.5 :– इमाम अहमद व तिर्मिज़ी ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि हुजूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जब बादल की गरज और बिजली की कड़क सुनते तो यह कहते :–

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह! अपने ग़ज़ब से तू हमको क़त्ल न कर और अपने अज़ाब से हमको हलाक न कर और इससे क़ब्ल हमको आफ़ियत में रख"।

हदीस न.6 :– इमाम मालिक ने अ़ब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि हुजूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जब बादल की आवाज़ सुनते तो कलाम तर्क फ़रमा देते और कहते।

سُبْحٰنَ الَّذِیْ یُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِیْفَتِهٖ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ.

तर्जमा :– " पाक है वह कि हम्द के साथ रअ़्द (बिजली की कड़क) उसकी तस्बीह करता है और फ़रिश्ते उसके ख़ौफ़ से,बेशक अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है"।

हदीस न.7 :– फ़रमाते हैं जब बादल की गरज़ सुनो तो अल्लाह की तस्बीह करो तकबीर न कहो"।

नमाज़े इस्तिस्क़ा का बयान

अल्लाह तआला फ़रमाता है :

وَ مَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَ يَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ۝

तर्जमा :— "तुम्हें जो मुसीबत पहुँचती है वह तुम्हारे हाथों के करतूत से है और बहुत सी माफ़ फ़रमा देता है"।

यह कहत (सूखे, अकाल)भी हमारे ही मआसी(गुनाहों)का सबब है। लिहाज़ा ऐसी हालत में कसरते इस्तिग़फ़ार(यानी बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार और तौबा)की ज़रूरत है और यह भी उसका फ़ज़्ल है कि बहुत से माफ़ फ़रमा देता है वरना अगर सब बातों पर मुवाख़ज़ा(पकड़)करे तो कहाँ ठिकाना।

और फ़रमाता है :—

لَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ

तर्जमा :— "अगर लोगों को उनके फ़ेलों पर पकड़ता तो ज़मीन पर कोई चलने वाला न छोड़ता"।

और फ़रमाता है ।

اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا۝ يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا۝ وَّ يُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّ بَنِيْنَ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّ يَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا۝

तर्जमा :— "अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो बेशक वह बड़ा बख़्शने वाला है। मूसलाधार पानी तुम पर भेजेगा और मालों और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें बाग़ देगा और तुम्हें नहरें देगा"।

हदीस न.1 :— इब्ने माजा की रिवायत इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से है कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो लोग नाप और तौल में कमी करते हैं वह कहत और शिद्दते मौत में और बादशाह के ज़ुल्म में गिरफ़्तार होते हैं अगर चौपाये न होते तो उन पर बारिश नहीं होती।

हदीस न.2 :— सही मुस्लिम शरीफ़ अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कहत इसी का नाम नहीं कि बारिश न हो बड़ा कहत तो यह है कि बारिश हो और ज़मीन कुछ न उगाये।

हदीस न.3 :— सहीहैन में है अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी दुआ में उस क़द्र हाथ न उठाते जितना इस्तिस्क़ा में उठाते यहाँ तक कि बलन्द फ़रमाते कि बग़लों की सफ़ेदी ज़ाहिर होती।

हदीस न.4 :— सही मुस्लिम शरीफ़ में उन्हीं से मरवी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बारिश के लिए दुआ फ़रमाई और पुश्ते दस्त(हथेली के पिछले हिस्से) से आसमान की तरफ़ इशारा किया (यअ्नी और दुआओं में तो क़ायदा यह है कि हथेली आसमान की तरफ़ हो और इस में हाथ लौट दें कि हाल बदलने की फ़ाल हो)

हदीस न.5 :— सुनने अरबअ् में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पुराने कपड़े पहन कर इस्तिस्क़ा के लिए तशरीफ़ ले जाते तवाज़ोअ् व ख़ुशू व तज़र्रोअ् (गिरिया व ज़ारी) के साथ ।

हदीस न.6 :— अबू दाऊद ने उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की, कहती हैं लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में कहते बारों की शिकायत पेश की हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मिम्बर के लिए हुक्म फ़रमाया,

ईदगाह में रखा गया और लोगों से एक दिन का वादा फ़रमाया कि उस रोज़ सब लोग चलें। जब आफ़ताब का किनारा चमका उस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गये और मिम्बर पर बैठे तकबीर कही और हम्दे इलाही बजा लाये, फिर फ़रमाया तुम लोगों ने अपने मुल्क के क़हत की शिकायत की और यह कि मेंह अपने वक़्त से मोअख़्ख़र हो गया यअ़नी पीछे हट गया और अल्लाह तआ़ला ने तुम्हें हुक्म दिया है कि उससे दुआ़ करो और उसने वअ़दा कर लिया है कि तुम्हारी दुआ़ क़बूल फ़रमायेगा इसके बाद फ़रमाया :–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ لَآ اِلٰهَ
اِلَّا اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْغَنِيُّ وَ نَحْنُ
الْفُقَرَآءُ اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَآ اَنْزَلْتَ قُوَّةً وَّ بَلَاغًا اِلٰى حِيْنٍ.

तर्जमा :– "सब ख़ूबियाँ अल्लाह को जो मालिक सारे जहान वालों का बहुत मेहरबान रहम वाला रोज़े जज़ा का मालिक है,अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं जो चाहता है करता है,ऐ अल्लाह! तू ही मअ़बूद है तेरे सिवा कोई मअ़बूद नहीं तू ग़नी हैं और हम मुहताज हैं हम पर बारिश उतार और जो कुछ उतारे हमारे लिए कुव्वत और एक वक़्त तक पहुँचने का सबब कर दे"।

फिर हाथ बलन्द फ़रमाया यहाँ तक कि बग़ल की सफ़ेदी ज़ाहिर हुई, फिर लोगों की तरफ़ मुतवज्जेह हुए और मिम्बर से उतर कर दो रकअ़त नमाज़ पढ़ी अल्लाह तआ़ला ने उसी वक़्त अब्र पैदा किया वह गरजा और चमका और बरसा और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम अभी मस्जिद को तशरीफ़ भी न लाये थे कि नाले बह गये।

हदीस न.7 :– इमाम मालिक व अबू दाऊद ब–रिवायते अ़म्र इब्ने शुऐ़ब अ़न अबीहे अ़न जद्देही रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम इस्तिसक़ा की दुआ़ में यह कहतः

اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَ بَهِيْمَتَكَ وَ انْشُرْ رَحْمَتَكَ وَ اَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ۔

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह! तू अपने बन्दों और चौपायों को सैराब कर और अपनी रहमत को फैला और अपने शहरे मुर्दा को ज़िन्दा कर"।

हदीस न.8 :– सुनने अबू दाऊद में जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को देखा कि हाथ उठा कर यह दुआ़ कीः–

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيْثًا مَّرِيْئًا مَّرِيْعًا نَّافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ اٰجِلٍ

तर्जमा :– ऐ अल्लाह!हमको सैराब कर पूरी बारिश से जो ख़ुशगवार ताज़गी लाने वाली है नाफ़ेअ़ (नफ़ा पहुँचाने वाली) हो नुक़सान न करे, जल्द हो देर में न हो"।

हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने यह दुआ़ पढ़ी ही थी कि आसमान घिर आया।

हदीस न.9 :– सह़ी बुख़ारी शरीफ़ में अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कहते हैं लोग जब क़हत में मुबतला होते तो अमीरूल मोमिनीन फ़ारूक़े अअ़ज़म हज़रते अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के तवस्सुल (वसीले)से बारिश की दुआ़ करते अ़र्ज़ करते :

"ऐ अल्लाह!तेरी तरफ़ हम अपने नबी का वसीला किया करते थे और तू बरसाता था अब हम तेरी तरफ़ नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के अ़म्मे मुकर्रम(चचा मोहतरम)को वसीला

करते हैं बारिश भेज"।

अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं जब यूँ दुआ करते तो बारिश होती यानी हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आगे होते और हम हुज़ूर के पीछे सफ़ें बाँध कर दुआ करते अब कि यह मयस्सर नहीं, हुज़ूर के चचा को आगे करके दुआ करते हैं कि यह भी तवस्सुल हुज़ूर से है सूरतन मयस्सर नहीं तो मअ्नन।

मसाइले फ़िक़्हिय्यह

इस्तिसक़ा दुआ व इस्तिग़फ़ार का नाम है। इस्तिसक़ा की नमाज़ जमाअत से पढ़ें या तन्हा–तन्हा दोनों तरह इख़्तियार है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– इस्तिसक़ा के लिए पुराने या पैवन्द लगे कपड़े पहन कर तज़लज़ुल(अपने आपको अल्लाह के सामने ज़लील जानते हुए)व ख़ुशूअ् व ख़ुज़ूअ व तवाज़ोअ् के साथ सर बरहना (नंगे सर)पैदल जाये और पा–बरहना (नंगे पाँव)हों तो बेहतर और जाने से पेश्तर(पहले)ख़ैरात करें कुफ़्फ़ार को अपने साथ न ले जायें कि जाते हैं रहमत के लिए और काफ़िर पर लअ्नत उतरती है। तीन दिन पेश्तर से रोज़े रखें और तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, फिर मैदान में जायें और वहाँ तौबा करें और ज़बानी तौबा काफ़ी नहीं बल्कि दिल से करें और जिनके हुक़ूक़ उस के ज़िम्मे हैं सब अदा करें या मुआफ़ करायें कमज़ोरों बूढ़ों बुढ़ियों बच्चों के तवस्सुल (वसीले)से दुआ करें और सब आमीन कहें कि सही बुख़ारी शरीफ़ में है हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया तुम्हें रोज़ी और मदद कमज़ोरों के ज़रिए से मिलती है और एक रिवायत में है अगर जवान ख़ुशूअ् करने वाले और चौपाये चरने वाले और बूढ़े रूकूअ् करने वाले और बच्चे दूध पीने वाले न होते तो तुम पर शिद्दत से अज़ाब की बारिश होती। उस वक़्त बच्चे अपनी माँओं से जुदा रखे जायें और मवेशी भी साथ ले जायें। ग़रज़ यह कि रहमत की तवज्जोह के तमाम असबाब मुहय्या करें यानी जिन बातों से अल्लाह की रहमत होती है ज़्यादा से ज़्यादा वही बातें करें और तीन दिन मुतवातिर जंगल को जायें और दुआ करें और यह भी हो सकता है कि इमाम दो रकअ्त (बलन्द आवाज़ से किरात) जहर के साथ नमाज़ पढ़ाये और बेहतर यह है कि पहली में 'सूरए अअ्ला'और दूसरी में 'सूरए ग़ाशियह'पढ़े और नमाज़ के बअ्द ज़मीन पर खड़ा हो कर ख़ुतबा पढ़े और दोनों ख़ुतबों के दरमियान जलसा करे (बैठे) और यह भी हो सकता है कि एक ही ख़ुतबा पढ़े और ख़ुतबे में दुआ व तस्बीह व इस्तिग़फ़ार करे और ख़ुतबे के बीच में चादर लौट दे यानी ऊपर का किनारा नीचे और नीचे का ऊपर कर दे कि हाल बदलने की फ़ाल हो। ख़ुतबे से फ़ारिग़ होकर लोगों की तरफ़ पीठ और क़िब्ले को मुँह कर के दुआ करे बेहतर वह दुआयें हैं जो अहादीस में वारिद हैं और दुआ में हाथ को ख़ूब बलन्द करे और पुश्ते दस्त(हाथ का पिछला हिस्सा)आसमान की जानिब रखे। (आलमगीरी,गुनिया,दुर्रे मुख़्तार,जौहरा)

मसअ्ला :– अगर जाने से पहले बारिश हो गई जब भी जायें और शुक्रे इलाही बजा लायें और मेंह के वक़्त हदीस में जो दुआ इरशाद हुई पढ़ें और बादल गरजे तो उसकी दुआ पढ़ें और बारिश में कुछ देर ठहरें कि बदन पर पानी पहुँचे। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला : – कसरत से बारिश हो कि नुक़सान करने वाली मअ्लूम हो तो उसके रूकने की दुआ

कर सकते हैं और उसकी दुआ हदीस में यह है।:—

اَللّٰھُمَّ حَوَالَیْنَا وَ لَا عَلَیْنَا اَللّٰھُمَّ عَلَی الْاٰکَامِ وَالظِّرَابِ وَ بُطُوْنِ الْاَوْدِیَةِ وَ مَنَابِتِ الشَّجَرِ

तर्जमा :— " ऐ अल्लाह! हमारे आस–पास बरसा हमारे ऊपर न बरसा। ऐ अल्लाह! बारिश कर टीलों और पहाड़ियों पर और नालों में और जहाँ दरख़्त उगते हैं"।

इस हदीस को बुख़ारी व मुस्लिम ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया।

नमाज़े ख़ौफ़ का बयान

अल्लाह तआला फ़रमाता है :—

فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُکْبَانًا فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَاذْکُرُوا اللّٰہَ کَمَا عَلَّمَکُمْ مَا لَمْ تَکُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ٥

तर्जमा :— " अगर तुम्हें ख़ौफ़ हो तो पैदल या सवारी पर नमाज़ पढ़ो फिर जब ख़ौफ़ जाता रहे तो अल्लाह को उस तरह याद करो जैसा उसने सिखाया वह कि तुम नहीं जानते थे"।

और फ़रमाता है:—

وَ اِذَا کُنْتَ فِیْھِمْ فَاَقَمْتَ لَھُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْھُمْ مَّعَكَ وَلْیَاْخُذُوْٓا اَسْلِحَتَھُمْ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْیَکُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِکُمْ وَلْتَاْتِ طَآئِفَةٌ اُخْرٰی لَمْ یُصَلُّوْا فَلْیُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْیَاْخُذُوْا حِذْرَھُمْ وَ اَسْلِحَتَھُمْ وَدَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِکُمْ وَ اَمْتِعَتِکُمْ فَیَمِیْلُوْنَ عَلَیْکُمْ مَّیْلَةً وَّاحِدَةً وَ لَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ اِنْ کَانَ بِکُمْ اَذًی مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ کُنْتُمْ مَّرْضٰٓی اَنْ تَضَعُوْٓا اَسْلِحَتَکُمْ وَ خُذُوْا حِذْرَکُمْ اِنَّ اللّٰہَ اَعَدَّ لِلْکٰفِرِیْنَ عَذَابًا مُّھِیْنًا ٥ فَاِذَا قَضَیْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْکُرُوا اللّٰہَ قِیَامًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰی جُنُوْبِکُمْ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِیْمُوا الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ کَانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ کِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ٥

तर्जमा :—"दो मगर पनाह की चीज़ लिए रहो बेशक अल्लाह ने काफ़िरों के लिए ज़िल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है फिर जब नमाज़ पूरी कर चुको फिर अल्लाह को याद करो खड़े और बैठे और करवटों पर लेटे और जब तुम उनमें हो और नमाज़ क़ाइम करो तो उनमें का एक गिरोह तुम्हारे साथखड़ा हो और उन्हें चाहिए कि अपने हथियार लिए हों फिर जब एक रकअ़त का सजदा कर लें तो वह तुम्हारे पीछे हों और अब दूसरा गिरोह आये जिसने तुम्हारे साथ न पढ़ी थी वह तुम्हारे साथ पढ़ें और अपनी पनाह और अपने हथियार लिए रहें। काफ़िरों की तमन्ना है कि कहीं तुम अपने हथि है।"यारों और अपने असबाब से ग़ाफ़िल हो जाओ तो एक साथ तुम पर झुक पड़ें और तुम पर कुछ गुनाह नहीं अगर तुम्हें मेंह से तकलीफ़ हो या बीमार हो कि अपने हथियार रख फर जब इत्मीनान से हो जाओ तो नमाज़ हसबे दस्तूर क़ाइम करो बेशक नमाज़ मुसलमानों पर वक़्त बाँधा हुआ फ़र्ज़ तिर्मिज़ी व नसई में ब–रिवायते अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम असफ़ान व दजवान (जगहों के नाम हैं) के दरमियान उतरे मुशरिकीन ने कहा इन के लिए एक नमाज़ है जो बाप और बेटों से भी ज़्यादा प्यारी है और वह नमाज़े अस्र है। लिहाज़ा सब काम ठीक रखो जब नमाज़ को खड़े हों एक दम हमला कर दो जिब्रील अलैहिस्सलातु वसल्लम नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ की कि हुज़ूर अपने असहाब के दो हिस्से करें एक गिरोह के साथ नमाज़ पढ़ें और दूसरा गिरोह उन के पीछे सिपर यानी ढाल और अस्लेहा यअ़नी हथियार लिये खड़ा रहे तो उनकी एक एक रकअ़त होगी यानी हुज़ूर के साथ और रसुलुल्लाह सल्लल्लहु तआला अलैहि वसल्लम की दो रकअ़तें। सही बुख़ारी व सही मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं हम रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के साथ गये जब ज़ातुर्रुक़ाअ़ (जगह का नाम) में पहुँचे एक सायादार दरख़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम के लिए छोड़ दिया उस पर हुज़ूर ने अपनी तलवार लटका दी थी एक मुशरिक आया और तलवार ली और खींच कर कहने लगा आप मुझ से डरते हैं फ़रमाया न। उसने कहा तो आप को कौन मुझ से बचायेगा फ़रमाया अल्लाह सहाबा किराम ने जब देखा तो उसे डराया। उसने म्यान में तलवार रख कर लटका दी उसके बअ़्द अज़ान हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने एक गिरोह के साथ दो रकअ़त नमाज़ पढ़ी फिर यह पीछे हटा और दूसरे गिरोह के साथ दो रकअ़त पढ़ी तो हुज़ूर की चार हुई और लोगों की दो–दो यअ़्नी हुज़ूर के साथ।

मसाइले फ़िक़्हिय्या

नमाज़े ख़ौफ़ जाइज़ है जब कि दुश्मनों का क़रीब में होना यक़ीन के साथ मअ़्लूम हो और अगर गुमान था कि दुश्मन क़रीब में हैं और नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ी बअ़्द को गुमान की ग़लती ज़ाहिर हुई तो मुक़तदी नमाज़ का इआ़दा करें यअ़्नी दोहरयें। यूहीं अगर दुश्मन दूर हों तो यह नमाज़ जाइज़ नहीं यअ़्नी मुक़तदी की न होगी और इमाम की हो जायेगी।

नमाज़े ख़ौफ़ का तरीक़ा यह है कि जब दुश्मन सामने हो और यह अंदेशा हो कि सब एक साथ नमाज़ पढ़ेंगे तो हमला कर देंगे ऐसे वक़्त इमाम जमाअ़त के दो हिस्से करे अगर कोई गिरोह इस पर राज़ी हो कि हम बअ़्द को पढ़ लेंगे तो उसे दुश्मन के मुक़ाबिल करे और दूसरे गिरोह के साथ पूरी नमाज़ पढ़ ले फिर जिस गिरोह ने नमाज़ नहीं पढ़ी उसमें कोई इमाम हो जाये और यह लोग उसके साथ बा–जमाअ़त पढ़ लें और अगर दोनों में से बअ़्द को पढ़ने पर कोई राज़ी न हो तो इमाम एक गिरोह को दुश्मन के मुक़ाबिल करें और दूसरा इमाम के पीछे नमाज़ पढ़े जब इमाम इस गिरोह के साथ एक रकअ़ते पढ़ चुके यअ़्नी पहली रकअ़त के दूसरे सजदे से सर उठाये तो यह लोग दुश्मन के मुक़ाबिल चले जायें और जो लोग वहाँ थे वह चले आयें अब इनके साथ इमाम एक रकअ़त पढ़े और तशह्हुद पढ़ के सलाम फेर दे मगर मुक़तदी सलाम न फेरें बल्कि वह लोग दुश्मन के मुक़ाबिल चले जायें या यहीं अपनी नमाज़ पूरी कर के जायें और वह लोग आयें और एक रकअ़त बग़ैर क़िरात पढ़ कर तशह्हुद के बअ़्द सलाम फेरें और यह भी हो सकता है कि यह गिरोह यहाँ न आये बल्कि वहीं अपनी नमाज़ पूरी कर ले और दूसरा गिरोह अगर नमाज़ पूरी कर चुका है तब तो ठीक वर्ना अब पूरी करे ख़्वाह वहीं या यहाँ आकर और यह लोग क़िरात के साथ अपनी एक रकअ़त पढ़ें और तशह्हुद के बअ़्द सलाम फेरें। यह तरीक़ा दो रकअ़त वाली नमाज़ का है ख़्वाह नमाज़े ही दो रकअ़त की हो जैसे फ़ज्र व ईद व जुमा या सफ़र की वजह से चार की दो हो गई और चार रकअ़त वाली नमाज़ हो तो हर गिरोह के साथ इमाम दो–दो रकअ़त पढ़े और मग़रिब में पहले गिरोह के साथ दो और दूसरे के साथ एक पढ़े अगर पहले के साथ एक पढ़ी और दूसरे के साथ दो तो नमाज़ जाती रही। (दुर्रे मुख़्तार,आलमगीरी वग़ैरहुमा)

मसअला :– यह सब अहकाम उस सूरत में हैं जब इमाम व मुक़तदी सब मुक़ीम हों या सब मुसाफ़िर या इमाम मुक़ीम है और मुक़तदी मुसाफ़िर और अगर इमाम मुसाफ़िर हो और मुक़तदी मुक़ीम तो इमाम एक गिरोह के साथ एक रकअ़त पढ़े और दूसरे के साथ एक पढ़ कर सलाम फेर दे फिर पहला गिरोह आये और तीन रकअ़त बग़ैर क़िरात के पढ़े फिर दूसरा गिरोह आये और तीन पढ़े पहली में फ़ातिहा व सूरत पढ़े और अगर इमाम मुसाफ़िर है और कुछ मुक़तदी मुक़ीम हैं कुछ मुसाफ़िर तो मुक़ीम के तरीक़े पर अमल करें और मुसाफ़िर मुसाफ़िर के। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– एक रकअ्त के बअ्द दुश्मन के मुक़ाबिल जाने से मुराद पैदल जाना है सवारी पर जायेंगे तो नमाज़ जाती रहेगी। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर ख़ौफ़ बहुत ज़्यादा हो कि सवारी से उतर न सके तो सवारी पर फ़र्ज़ नमाज़ उसी वक़्त जाइज़ होगी कि दुश्मन इनका पीछा कर रहे हों और अगर यह दुश्मन का पीछा कर रहे हों तो सवारी पर नामज़ न होगी। (जौहरा, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– नमाज़े ख़ौफ़ में सिर्फ़ दुश्मन के मुक़ाबिल जाना और वहाँ से इमाम के पास सफ़ में आना या वुज़ू जाता रहा तो वुज़ू के लिए चलना मुआफ़ है इसके अलावा चलना नमाज़ को फ़ासिद कर देगा। अगर दुश्मन ने इसे दौड़ाया या इसने दुश्मन को भगाया तो नमाज़ जाती रही। अलबत्ता पहली सूरत में अगर सवारी पर हो तो मुआफ़ है। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– सवारी पर नहीं था, नमाज़ पढ़ते ही में सवार हो गया नमाज जाती रही ख़्वाह किसी ग़रज़ से सवार हुआ हो और लड़ना भी नमाज़ को फ़ासिद कर देता है मगर एक तीर फेंकने की इजाज़त है।(दुर्रे मुख़्तार)यूहीं आजकल बन्दूक़ का एक फ़ायर करने की इजाज़त है।

मसअ्ला :– दरिया में तैरने वाला अगर कुछ देर बग़ैर आज़ा को हरकत दिये रह सके तो इशारे से नमाज़ पढ़े वर्ना नमाज़ न होगी। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जंग में मशग़ूल है मसलन तलवार चला रहा है और वक़्ते नमाज़ ख़त्म होना चाहता है तो नमाज़ को मुअख़्ख़र करे लड़ाई से फ़ारिग़ हो कर नमाज़ पढ़े। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– बाग़ियों और उस शख़्स के लिए जिसका सफ़र किसी मअ्सियत के लिए हो(यअ्नी गुनाह के काम के लिए सफ़र हो)तो नमाज़े ख़ौफ़ जाइज़ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– नमाज़े ख़ौफ़ हो रही थी और नमाज़ के दरमियान ही ख़ौफ़ जाता रहा यअ्नी दुश्मन चले गये तो जो बाक़ी हैं वह अमन की सी पढ़ें अब ख़ौफ़ की पढ़ना जाइज़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– नमाज़े ख़ौफ़ में हथियार लिये रहना मुस्तहब है और ख़ौफ़ का असर सिर्फ़ इतना है कि ज़रूरत के लिए चलना जाइज़ है बाक़ी महज़ ख़ौफ़ से नमाज़ में क़स्र न होगा।(आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– नमाज़े ख़ौफ़ जिस तरह दुश्मन से डर के वक़्त जाइज़ है यूँही दरिन्दे और बड़े साँप वग़ैरा से ख़ौफ़ हो जब भी जाइज़ है। (दुर्रे मुख़्तार)

किताबुल जनाइज़

बीमारी का बयान :– बीमारी भी एक बहुत बड़ी नेअ्मत है। इसके मुनाफ़े बेशुमार है अगर्चे आदमी को ब–ज़ाहिर इससे तकलीफ़ पहुँचती है मगर हक़ीक़तन राहत व आराम का एक बड़ा ज़ख़ीरा हाथ आता है। यह ज़ाहिरी बीमारी जिसको आदमी बीमारी समझता है हक़ीक़त में रूहानी बीमारियों का एक बड़ा ज़बर दस्त इलाज है हक़ीक़ी बीमारी रूहानी बीमारियाँ हैं कि यह अलबत्ता बहुत ख़ौफ़ की चीज़ है और इसी को मरज़े मुहलिक समझना चाहिए। बहुत मोटी सी बात है जो हर शख़्स जानता है कि कोई कितना ही ग़ाफ़िल हो मगर जब मरज़ में मुबतला होता है तो किस क़द्र ख़ुदा को याद करता और तौबा व इस्तिग़फ़ार करता है और यह तो बड़े रूतबे वालों की शान है कि तकलीफ़ का उसी तरह इस्तिक़बाल करते हैं जैसे राहत का :– آنچہ از دوست میرسد نیکوست तर्जमा :– " जो कुछ दोस्त से मिले बेहतर है"। मगर हम जैसे कम से कम इतना तो करें कि सब्र

व इस्तिकलाल से काम लें और जज़अ् यअ्नी रोने-धोने और बेसब्री ज़ाहिर करके आते हुए सवाब को हाथ से न जाने दें और इतना हर शख़्स जानता है कि बेसब्री से आई हुई मुसीबत जाती न रहेगी फिर उस बड़े सवाब से महरूमी दोहरी मुसीबत है बहुत से नादान बीमारी में निहायत बेजा और ग़लत बातें कह देते हैं बल्कि बाज़ कुफ़्र तक पहुँच जाते हैं। मआज़ल्लाह! अल्लाह तआ़ला की तरफ़ ज़ुल्म की निस्बत कर देते हैं यह तो बिल्कुल ही خَسِرَ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةَ यअ्नी दुनिया औरआख़िरत में घाटे में पड़ने के मिस्दाक़ बन जाते हैं।

अब हम इसके बाज़ फ़वाइद जो अहादीस में वारिद हैं बयान करते हैं कि मुसलमान अपने प्यारे और बरगुज़ीदा रसूल सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के इरशादाते आ़लिया दिल लगा कर सुनें और उन पर अ़मल करें अल्लाह तआ़ला तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाये।

हदीस न.1व2 :– सही बुख़ारी व सही मुस्लिम में अबू हुरैरा व अबू सईद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं मुसलमान को जो तकलीफ़ व रंज व ग़म पहुँचे यहाँ तक काँटा जो उसको चुभे अल्लाह तआ़ला उसके सबब गुनाह मिटा देता है।

हदीस न.3 :– सहीहैन में अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊ़द रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं मुसलमान को जो अज़ीयत पहुँचती है मरज़ हो या उसके सिवा कुछ और अल्लाह तआ़ला उसके सय्येआत(गुनाहों) को गिरा देता है जैसे दरख़्त से पत्ते झड़ते हैं।

हदीस न.4 व 5 :– सही मुस्लिम शरीफ़ में जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम उम्मुस्साइब के पास तशरीफ़ ले गये फ़रमाया तुझे क्या हुआ है जो काँप रही है अ़र्ज़ की बुख़ार है, ख़ुदा उसमें बरकत न करे। फ़रमाया बुख़ार को बुरा न कह कि वह आदमी की ख़ताओं को इस तरह दूर करता है जैसे भट्टी मैल को। इसी के मिस्ल सुनने इब्ने माजा में अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से भी मरवी।

हदीस न.6 :– सही बुख़ारी शरीफ़ में अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है जब अपने बन्दे की आँखें ले लूँ फिर वह सब्र करे तो आँखों के बदले उसे जन्नत दूँगा।

हदीस न.7 :– तिर्मिज़ी शरीफ़ में है उमय्या ने सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से इन दो आयतों का मतलब दरयाफ़्त किया।

إِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰه

तर्जमा :–" जो तुम्हारे नफ़्स में है उसे ज़ाहिर करो या छुपाओ अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा" और مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَ بِهٖ तर्जमा :– " जो किसी क़िस्म की बुराई करेगा उसका बदला दिया जायेगा " (कि जब हर बुराई की जज़ा है और जो ख़तरा दिल में गुज़रे उसका भी हिसाब है तो बड़ी मुश्किल है कि इससे कौन बचेगा)सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा ने फ़रमाया जब से मैंने इसका सवाल हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से किया किसी ने भी मुझ से न पूछा। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया इससे मुराद इताब है कि अल्लाह तआ़ला

बन्दों पर करता है कि उसे बुख़ार और तकलीफ़ पहुँचाता है यहाँ तक कि माल जो कुर्ते की आस्तीन में हो और गुम जाये और उसकी वजह से घबरा जाये इन उमूर की वजह से गुनाहों से ऐसा निकल जाता है जैसे भट्टी से सुर्ख़ सोना निकलता है (यानी गुनाहों से ऐसा पाक व साफ़ हो जाता है जैसे भट्टी से सोना मैल से साफ़ होकर निकलता है)

हदीस न.8 :– तिर्मिज़ी में अबू मूसा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बन्दे को कोई तकलीफ़ कम व बेश नहीं पहुँचती मगर गुनाह के सबब और जो अल्लाह तआला मुआफ़ फ़रमा देता है वह बहुत ज़्यादा है और यह आयत पढ़ी :–

وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَ يَعْفُوْ عَنْ كَثِيْرٍ ط

तर्जमा :– "जो तुम्हें मुसीबत पहुँची वह उसका बदला है जो तुम्हारे हाथों ने किया और बहुत सी मुआफ़ फ़रमा देता है।"

हदीस न. 9 व 10 :– शरहे सुन्नत में अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बन्दा जब इबादत के अच्छे तरीक़े पर हो फिर बीमार हो जाये फिर जो फ़रिश्ता उस पर मुवक्किल है उससे फ़रमाया जाता है उसके लिए वैसे ही अअ्माल लिख जब मरज़ में मुबतला न था यहाँ तक कि मैं उसे मरज़ से रिहा करूँ या अपनी तरफ़ बुला लूँ यअ्नी मौत दूँ, और अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जब मुसलमान किसी बदन की बला में मुबतला होता है फ़रिश्तों को हुक्म होता है लिख जो नेक काम पहले किया करता था तो अगर शिफ़ा देता है तो धो देता और पाक कर देता है और मौत देता है तो बख़्श देता है और रहम फ़रमाता है।

हदीस न.11 :– तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व दारमी सअ्द रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ कि किस पर बला ज़्यादा सख़्त होती है। फ़रमाया अम्बिया पर फिर जो बेहतर हैं। फिर जो बेहतर हैं आदमी में जितना दीन होता है उसी के अन्दाज़े से बला में मुबतला किया जाता है अगर दीन में ज़ईफ़ कमज़ोर है तो उस पर आसानी की जाती है तो हमेशा बला में मुबतला किया जाता है यहाँ तक कि ज़मीन पर यूँ चलता है कि उस पर कोई गुनाह न रहा।

हदीस न. 12 :– तिर्मिज़ी व इब्ने माजा अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूरसल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जितनी बला ज़्यादा उतना ही सवाब ज़्यादा और अल्लाह तआला जब किसी क़ौम को महबूब रखता है तो उसे बला में डालता है जो राज़ी हुआ उसके लिए रज़ा है और जो नाराज़ हो उसके लिए नाख़ुशी और दूसरी रिवायत तिर्मिज़ी की उन्हीं से यूँ है कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब अल्लाह तआला अपने बन्दे के साथ ख़ैर का इरादा फ़रमाता है तो उसे दुनिया ही में सज़ा दे देता है और जब शर का इरादा फ़रमाता है तो उसे गुनाह का बदला नहीं देता और क़ियामत के दिन उसे पूरा बदला देगा।

हदीस न.13 :– इमामे मालिक व तिर्मिज़ी अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुसलमान मर्द व औरत के जान व माल व औलाद में हमेशा बला रहती है यहाँ तक कि अल्लाह तआला से इस हाल में मिलता है कि उस पर कुछ ख़ता नहीं।

हदीस न. 14 :– अहमद व अबू दाऊद बरिवायते मुहम्मद इब्ने ख़ालिद अपने बाप से अपने दादा से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बन्दे के लिए इल्मे इलाही में कोई मर्तबा मुक़र्रर होता है और वह अअ्माल के सबब उस रुतबे को न पहुँचा तो बदन या माल या औलाद में

उसको मुबतला फ़रमाता है फिर उसे सब्र देता है यहाँ तक कि उसे उस मर्तबे को पहुँचा देता है जो उसके लिए इल्मे इलाही में है।

हदीस न. 15 :– तिर्मिज़ी ने जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जब क़ियामत के दिन अहले बला(मुसीबत उठाने वालों) को सवाब दिया जायेगा तो आफ़ियत वाले तमन्ना करेंगे काश दुनिया में कैंचियों से उनकी खालें काटी जातीं।

हदीस न.16 :– अबू दाऊद आमिरुर्राम रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बीमारियों का ज़िक्र फ़रमाया और फ़रमाया कि मोमिन जब बीमार हो फिर अच्छा हो जाये उसकी बीमारी गुनाहों से कफ़्फ़ारा हो जाती है और आइन्दा के लिए नसीहत,और मुनाफ़िक़ जब बीमार हुआ फिर अच्छा हुआ उसकी मिसाल ऊँट की है कि मालिक ने उसे बाँधा फिर खोला। एक शख़्स ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह! बीमार क्या चीज़ है? मैं तो कभी बीमार न हुआ। फ़रमाया हमारे पास से उठ जा कि तू हम में से नहीं।

हदीस न.17 :– इमाम अहमद शद्दाद इब्ने औस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं अल्लाह तआला फ़रमाता है जब मैं अपने मोमिन बन्दे को बला में डालूँ और वह उसमें मुबतला होकर मेरी हम्द करे तो वह अपनी ख्वाबगाहों से गुनाहों से ऐसा पाक होकर उठेगा जैसे उस दिन कि अपनी माँ से पैदा हुआ और रब तआला फ़रमाता है मैंने अपने बन्दे को मुक़य्यद (क़ैद में) और मुबतला किया उसके लिए अमल वैसा ही जारी रखो जैसा सेहत (तन्दरुस्ती) में था।

अयादत के फ़ज़ाइल :– मरीज़ की इयादत को जाना सुन्नत है अहादीस में इसकी बहुत फ़ज़ीलतें आई हैं।

हदीस न.1 :– बुख़ारी व मुस्लिम व अबू दाऊद व इब्ने माजा अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं मुसलमान के मुसलमान पर पाँच हक़ है।

1. सलाम का जवाब देना। 2. मरीज़ के पूछने को जाना। 3. जनाज़े के साथ जाना। 4. दअ्वत क़बूल करना। 5. छींकने वाले का जवाब देना। (जब अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जवाब में यरहमुकल्लाह कहे)

हदीस न .2 :– सहीहैन में है बर्रा इब्ने आज़िब रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं हमें सात बातों का हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुक्म फ़रमाया। (यह पाँच बातें ज़िक्र करके फ़रमाया) छटी यह कि क़सम खाने वाले की क़सम पूरी करना और सातवीं मज़लूम की मदद करना।

हदीस न. 3 :– बुख़ारी व मुस्लिम सौबान रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं मुसलमान जब अपने मुसलमान भाई की इयादत को गया तो वापस होने तक हमेशा जन्नत के फल चुनने में रहा।

हदीस न. 4 :– सही मुस्लिम शरीफ़ में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं अल्लाह तआला रोज़े क़ियामत फ़रमायेगा ऐ इब्ने आदम। मैं बीमार हुआ तूने मेरी इयादत न की। अर्ज़ करेगा तेरी इयादत कैसे करता तू रब्बुलआलमीन है (यानी ऐ खुदा तू कैसे बीमार हो सकता है कि मैं तेरी इयादत करता)फ़रमाया क्या

तुझे नहीं मअ्लूम मेरा फ़लाँ बन्दा बीमार हुआ और उसकी तूने इयादत न की क्या तू नहीं जानता कि अगर उसकी इयादत को जाता तो मुझे उसके पास पाता,और फ़रमायेगा ऐ इब्ने आदम! मैंने तुझ से खाना त़लब किया तूने न दिया। अ़र्ज़ करेगा तुझे किस त़रह खाना देता तू तो रब्बुलआलमीन है। फ़रमायेगा क्या तुझे नहीं मअ्लूम कि मेरे फ़लाँ बन्दे ने तुझ से खाना माँगा तूने न दिया क्या तुझे नहीं मअ्लूम कि अगर तूने दिया होता तो उसको (यअ्नी उसके सवाब को) मेरे पास पाता। फ़रमायेगा ऐ इब्ने आदम! मैंने तुझ से पानी त़लब किया तूने न दिया। अ़र्ज़ करेगा तुझे कैसे पानी देता तू तो रब्बुल आ़लमीन है। फ़रमायेगा मेरे फ़ुलाँ बन्दे ने तुझ से पानी माँगा तूने उसे न पिलाया अगर पिलाया होता तो मेरे यहाँ पाता।

ह़दीस न.5 :– स़ही बुख़ारी शरीफ़ में इब्ने अ़ब्बास रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी हुज़ूरे अक़्दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम एक अअ्राबी की इयादत को तशरीफ़ ले गये और आ़दते करीमा यह थी कि जब किसी मरीज़ की इयादत को तशरीफ़ ले जाते यह फ़रमाते :–

لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰی

यअ्नी कोई ह़रज़ की बात नहीं इन्शाअल्लाह तआ़ला यह मरज़ गुनाहों से पाक करने वाला है उस अअ्राबी से भी यही फ़रमाया।

ह़दीस न.6 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी अमीरुल मोमिनीन मौला अ़ली रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो मुसलमान किसी मुसलमान की इयादत के लिए सुबह को जाये तो शाम तक उसके लिए सत्तर हज़ार फ़रिश्ते इस्तिग़फ़ार करते हैं और उसके लिए जन्नत में एक बाग़ होगा।

ह़दीस न.7 :– अबू दाऊद ने अनस रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो अच्छी त़रह वुज़ू करके अपने मुसलमान भाई की इयादत को जाये जहन्नम से साठ बरस की राह दूर कर दिया गया।

ह़दीस न.8 :– तिर्मिज़ी व इब्ने माजा अबू हुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो शख़्स मरीज़ की इयादत को जाता है आसमान से मुनादी निदा करता है तू अच्छा है और तेरा चलना अच्छा और जन्नत की एक मन्ज़िल को तूने ठिकाना बनाया।

ह़दीस न.9 :– इब्ने माजा अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़े अअ्ज़म रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब तू मरीज़ के पास जाये तो उससे कह कि तेरे लिए दुआ़ करे कि उसकी दुआ़ फ़रिश्तों की दुआ़ की त़रह है।

ह़दीस न.10 :– बैहक़ी ने सईद इब्ने मुसय्यिब रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि फ़रमाते हैं अफ़ज़ल इयादत यह है कि जल्द उठ आये और इसी के मिस्ल अनस रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से भी मरवी।

ह़दीस न. 11 :– तिर्मिज़ी व इब्ने माजा अबू सईद ख़ुदरी रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जब मरीज़ के पास जाओ तो उम्र (ज़िन्दगी) के बारे में दिल ख़ुश करने वाली बात करो कि यह किसी चीज़ को रद्द न कर देगा और उसके जी को

अच्छा मालूम होगा।

हदीस न.12 :– इब्ने हब्बान अपनी सही में उन्हीं से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं पाँच चीज़ें है जो एक दिन में करेगा अल्लाह तआला उसको जन्नतियों में लिख देगा। **1.मरीज़ की इयादत करे। 2.जनाज़े में हाज़िर हो। 3.रोज़ा रखे। 4.जुमे को जाये। 5.गुलाम आज़ाद करे।**

हदीस न.13 व 14 :– अहमद व तबरानी व अबू यअ़ला व इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हब्बान मआज़ इब्ने जबल और अबू दाऊद अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पाँच चीज़ें हैं कि जो इनमें से एक भी करे अल्लाह तआला के ज़मान (ज़मानत) में आजायेगा। 1.मरीज़ की इयादत करे या 2.जनाज़े के साथ जाये या 3.ग़ज़वा को जाये या 4.इमाम के पास उसकी ताज़ीम व तौकीर के इरादे से जाये या 5.अपने घर में बैठा रहे कि लोग उससे सलामत रहें और वह लोगों से।

हदीस न.15 :– इब्ने खुज़ैमा अपनी सही में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया आज तुम में कौन रोज़ादार है। अबूबक्र रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की मैं। फ़रमाया आज तुम में किस ने मिस्कीन को खाना खिलाया। अर्ज़ की मैंने। फ़रमाया कौन आज जनाज़े के साथ गया। अर्ज़ की मैं। फ़रमाया किस ने आज मरीज़ की इयादत की। अर्ज़ की मैंने। फ़रमाया यह ख़सलतें किसी में कभी जमा न होंगी मगर जन्नत में दाखिल होगा।

हदीस न. 16 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान की इयादत को जाये तो सात बार यह दुआ पढ़े :–

اَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ

तर्जमा :– "अल्लाह अज़ीम से सवाल करता हूँ जो अर्शे करीम का मालिक है इसका कि तुझे शिफ़ा दे"। अगर मौत नहीं आई है तो उसे शिफ़ा हो जायेगी।

मौत आने का बयान

दुनिया गुज़श्तनी व गुज़ाश्तनी है यानी गुज़रने वाली और गुज़ारने वाली है आख़िर एक दिन मौत आनी है जब यहाँ से कूच करना ही है तो वहाँ की तैयारी चाहिए जहाँ हमेशा रहना है और उस वक़्त को हर वक़्त पेशे नज़र रखना चाहिए। हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से फ़रमाया दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफ़िर बल्कि राह चलता, तो मुसाफ़िर जिस तरह एक अजनबी शख़्स होता है और राहगीर रास्ते के खेल तमाशों में नहीं लगता कि राह खोटी होगी और मंज़िले मक़सूद तक पहुँचने में नाकामी होगी,इसी तरह मुसलमान को चाहिए कि दुनिया में न फँसे और न ऐसे तअ़ल्लुक़ात पैदा करे कि मक़सूदे असली के हासिल करने में आड़े आयें और मौत को कसरत से याद करे कि उसकी याद दुनयवी तअ़ल्लुक़ात की बेख़कनी करती है यअ़नी जड़ से उखाड़ फेंकती है। हदीस में इरशाद फ़रमाया।

اَكْثِرُوْا ذِكْرَهَا ذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ

तर्जमा :– "लज़्ज़तों को तोड़ने वाली मौत को कसरत से याद करो"।

मगर किसी मुसीबत पर मौत की आरज़ू न करे कि इसकी मनाही आई है और नाचार करनी है तो यूँ कहे इलाही मुझे ज़िन्दा रख जब तक ज़िन्दगी मेरे लिए ख़ैर हो और मौत दे जब मौत मेरे लिए बेहतर हो। इस हदीस को बुख़ारी व मुस्लिम ने अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत किया और मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह तआ़ला से नेक गुमान रखे उसकी रहमत का उम्मीदवार रहे। हदीस में फ़रमाया कोई न मरे मगर इस हाल में कि अल्लाह तआ़ला से नेक गुमान रखता हो कि इरशादे इलाही है:–

اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِىْ

(**तर्जमा** :– "मेरा बन्दा मुझ से जैसा गुमान रखता हे मैं उसी तरह उसके साथ पेश आता हूँ") हुजूर एक जवान के पास तशरीफ़ ले गये और वह क़रीबुल मौत थे। फ़रमाया तू अपने को किस हाल में पाता है। अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह! अल्लाह से उम्मीद है और अपने गुनाहों से डर। फ़रमाया यह दोनों ख़ौफ़ व रजा (उम्मीद) इस मौक़े पर जिस बन्दे के दिल में होंगे अल्लाह उसे वह देगा जिसकी उम्मीद रखता है और उससे अमन में रखेगा जिससे ख़ौफ़ करता है। रूह क़ब्ज़ होने का वक़्त बहुत सख़्त वक़्त है कि इसी पर सारे अअ़्माल का दारोमदार है बल्कि ईमान के तमाम नताइजे उख़रवी(आख़िरत के नतीजे)इसी पर मुरत्तब हैं कि एअ़्तिबार ख़ातमे ही का है और शैताने लईन ईमान लेने की फ़िक्र में है जिसको अल्लाह तआ़ला उसके मक्र से बचाये और ईमान पर यअ़्नी बेशक एअ़्तिबार ख़ातमे का है। اِنَّمَا الْعِبْرَةُ بِالْخَوَاتِيْمِ ख़ातमा फ़रमाये वह मुराद को पहुँचे اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ (**तर्जमा** : ऐ अल्लाह अच्छा ख़ात्मा अ़ता फ़रमा।) इरशाद फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जिसका आख़िर कलाम "लाइला–ह–इल्लल्लाह" हुआ यअ़्नी कलिमए तय्यबा "ला इला–ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह" वह जन्नत में दाख़िल हुआ।

मसाइले फ़िक़्हिय्या

जब मौत का वक़्त क़रीब आये और अ़लामतें पाई जायें तो सुन्नत यह है कि दाहिनी करवट पर लिटा कर क़िब्ले की तरफ़ मुँह कर दें और यह भी जाइज़ है कि चित लिटायें और क़िब्ले को पाँव करें कि यूँही क़िब्ले को मुँह हो जायेगा मगर इस सूरत में सर को कुछ ऊचा रखें और क़िब्ले को मुँह करना दुश्वार हो कि उस वक़्त कि तकलीफ़ होती हो तो जिस हालत पर है छोड़ दें।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जाँकनी की हालत (दम निकलने के वक़्त की हालत)में जब तक रूह गले को न आई उसे तलक़ीन करें यअ़्नी उसके पास बलन्द आवाज़ से पढ़ें।

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

तर्जमा :– " मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआ़ला के सिवा कोई मअ़्बूद (पूजने के क़ाबिल) नहीं। और मुहम्मद (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम)अल्लाह तआ़ला के रसूल हैं। मगर उसे इसके कहने का हुक्म न करें।(आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– जब उसने कलिमा पढ़ लिया तो तलक़ीन मौक़ूफ़ कर दें (रोक दें)हाँ अगर कलिमा पढ़ने के बाद उसने कोई बात की तो फिर तलक़ीन करें कि उसका आख़िर कलाम **"लाइला–ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह"**हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– तलक़ीन करने वाला कोई नेक शख़्स हो ऐसा न हो जिसको उसके मरने की ख़ुशी हो, और उसके पास उस वक़्त नेक और परहेज़गार लोगों का होना बहुत अच्छी बात है और उस वक़्त वहाँ 'सूरए यासीन शरीफ़ की तिलावत और ख़ुश्बू होना मुस्तहब है मसलन लोबान या अगरबत्तियाँ सुलगा दें (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मौत के वक़्त हैज़ व निफ़ास वाली औरतें उसके पास हाज़िर हो सकती हैं (आलमगीरी) मगर जिसका हैज़ व निफ़ास मुनक़्ता हो गया और अभी ग़ुस्ल नहीं किया उसे और जुनुब को आना न चाहिए,और कोशिश करें कि मकान में कोई तस्वीर या कुत्ता न हो अगर यह चीज़ें हों तो फ़ौरन निकाल दी जायें कि जहाँ यह होती हैं रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते। उसकी नज़अ् के वक़्त अपने और उसके लिए दुआए ख़ैर करते रहें, कोई बुरा कलिमा ज़बान से न निकालें कि उस वक़्त जो कुछ कहा जाता है मलाइका उस पर आमीन कहते हैं। नज़अ् में सख़्ती देखें तो 'सूरए यासीन' 'व सूरए रअ्द' पढ़ें।

मसअ्ला :– जब रूह निकल जाये तो एक चौड़ी पट्टी जबड़े के नीचे से सर पर ले जाकर गिरह दे दें कि मुँह खुला न रहे और आँखें बंद कर दी जायें और उंगलियाँ और हाथ पाँव सीधे कर दिये जायें यह काम उसके घर वालों में जो ज़्यादा नर्मी के साथ कर सकता हो बाप या बेटा वह करे।

मसअ्ला :– आँख बंद करते वक़्त यह दुआ पढ़े:–

بِسْمِ اللّٰهِ وَ عَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ عَلَيْهِ اَمْرَهٗ وَ سَهِّلْ عَلَيْهِ
مَا بَعْدَهٗ وَ اَسْعِدْهُ بِلِقَائِكَ وَ اجْعَلْ مَا خَرَجَ اِلَيْهِ خَيْرًا مِّمَّا خَرَجَ عَنْهُ

(तर्जमा :– " अल्लाह के नाम के साथ और रसूलुल्लाह की मिल्लत पर ऐ अल्लाह ! तू इसके काम को इस पर आसान कर और इसके माबअ्द को इस पर सहल कर और अपनी मुलाक़ात से तू इसे नेक–बख़्त कर और जिसकी तरफ़ निकला यअ्नी आख़िरत उसे उससे बेहतर कर जिससे निकला यअ्नी दुनिया"।

मसअ्ला :– उसके पेट पर लोहा या गीली मिट्टी या और कोई भारी चीज़ रख दें कि पेट फूल न जाये। (आलमगीरी) मगर ज़रूरत से ज़्यादा वज़्नी न हो कि तकलीफ़ की वजह हो। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मय्यत के सारे बदन को किसी कपड़े से छुपा दें और उसको चारपाई या तख़्त वग़ैरा किसी ऊँची चीज़ पर रखें कि ज़मीन की सील न पहुँचे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मरते वक़्त मआज़ल्लाह उसकी ज़बान से कलिमए कुफ़्र निकला तो कुफ़्र का हुक्म न देंगे कि मुमकिन है मौत की सख़्ती में अक़्ल जाती रही हो,और बेहोशी में यह कलिमा निकल गया। (दुर्रे मुख़्तार)और बहुत मुमकिन है कि उसकी बात पूरी समझ में न आई कि ऐसी शिद्दत की हालत

में आदमी पूरी बात साफ़ तौर पर अदा कर ले दुश्वार होता है।

मसअ्ला :– उसके ज़िम्मे कर्ज़ या जिस किस्म के दैन हों जल्द से जल्द अदा कर दें कि हदीस में है मय्यत अपने दैन में मुक़य्यद है यअ्नी क़ैद जैसी हालत में। एक रिवायत में है उसकी रूह मुअ़ल्लक़ (अधर में)रहती है जब तक दैन न अदा किया जाये।

मसअ्ला :– मय्यत के पास तिलावते कुर्आन मजीद जाइज़ है जबकि उसका तमाम बदन कपड़े से छिपा हुआ रहे,तस्बीह व दीगर अज़कार (ज़िक्र की जमा)में मुतलकन हरज नहीं। (रद्दुल मुहतार वगैरा)

मसअ्ला : – गुस्ल व कफ़न व दफ़न में जल्दी चाहिए कि हदीस में इसकी बहुत ताकीद आई।(जौहरा)

मसअ्ला :– पड़ोसियों और उसके दोस्त अहबाब को इत्तिला कर दें कि नमाज़ियों की कसरत होगी और उसके लिए दुआ करेंगे कि उन पर हक़ है कि उसकी नमाज़ पढ़ें और दुआ करें।(आलमगीरी वगैरा)

मसअ्ला :– बाज़ार व शारए आम पर उसकी मौत की ख़बर देने के लिए बलन्द आवाज़ से पुकारना बाज़ ने मकरूह बताया मगर ज़्यादा सही यह है कि इसमें हरज नहीं मगर इसबे आदते जाहिलियत बड़े–बड़े अल्फ़ाज़ से न हो। (जौहरा, नय्यिरा,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– नागहानी मौत से मरा तो जब तक मौत का यक़ीन न हो तज़हीज़ व तकफ़ीन यअ्नी कफ़न दफ़न मुलतवी रखें। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत मर गई और उसके पेट में बच्चा हरकत कर रहा है तो बाईं जानिब से पेट चाक करके बच्चा निकाला जाये,और अगर औरत ज़िन्दा है और उसका पेट में बच्चा मर गया और औरत की जान पर बनी हो तो बच्चा काट कर निकाला जाये,और बच्चा भी ज़िन्दा हो तो कैसी ही तकलीफ़ हो बच्चा काट कर निकालना जाइज़ नहीं। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर उस ने क़स्दन (जान बूझ कर)किसी का माल निगल लिया और मर गया तो अगर इतना माल छोड़ा है कि तावान (जुर्माना) दे दिया जाये तो तर्के से तावान अदा करें वर्ना पेट चीर कर माल निकाला जायेगा और बिला क़स्द (बिला इरादा)है तो चीरा न जाये।(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– हामिला औरत मर गई और दफ़न कर दी गई,किसी ने ख़्वाब में देखा कि उसके बच्चा पैदा हुआ तो महज़ इस ख़्वाब की बिना पर क़ब्र खोदना जाइज़ नहीं। (आलमगीरी)

मय्यत के नहलाने का बयान

मसअ्ला :– मय्यत को नहलाना फ़र्ज़े किफ़ाया है। बाज़ (कुछ)लोगों ने गुस्ल दे दिया तो सब से साक़ित हो गया। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– नहलाने का तरीक़ा यह है कि जिस चारपाई या तख़्त या तख़्ते पर नहलाने का इरादा हो उसको तीन या पाँच या सात बार धूनी दें यअ्नी जिस चीज़ में वह खुश्बू सुलगती हो उसे उतनी बार चारपाई वग़ैरा के गिर्द फिरायें, और उस पर मय्यत को लिटा कर नाफ़ से घुटनों तक किसी कपड़े से छिपा दें फिर नहलाने वाला अपने हाथ पर कपड़ा लपेट कर इस्तिन्जा कराये फिर नमाज़ का सा वुज़ू कराए यानी मुँह फिर कोहनियों समेत हाथ धोयें फिर सर का मसह करें फिर धोयें मगर मय्यत के वुज़ू में गट्टों तक पहले हाथ धोना और कुल्ली कराना और नाक में पानी

डालना नहीं है, हाँ कोई कपड़ा या रूई की फुरैरी भिगोकर दाँतों और मसूढ़ों और होंटों और नथनों पर फेर दें फिर सर और दाढ़ी के बाल हों तो गुलेखेरू(एक दवा का नाम) से धोये यह न हो तो पाक साबुन इस्लामी कारख़ाने का बना हुआ या बेसन या किसी और चीज़ से वर्ना ख़ाली पानी भी काफ़ी है फिर बायीं करवट कर सर से पाँव तक बेरी का पानी बहायें कि तख़्ता तक पहुँच जाये फिर दाहिनी करवट पर लिटा कर यूँहीं करें और बेरी के पत्ते जोश दिया हुआ पानी न हो तो ख़ालिस पानी नीमगर्म (गुनगुना)ही काफ़ी है फिर टेक लगा कर बैठायें और नर्मी के साथ नीचे को पेट पर हाथ फेरें अगर कुछ निकले धो डालें,वुजू व गुस्ल को दोहरायें नहीं फिर आख़िर में सर से पाँव तक काफूर का पानी बहायें फिर उसके बदन को किसी पाक कपड़े से आहिस्ता पोंछ दें।

मसअ्ला :– एक मरतबा सारे बदन पर पानी बहना फ़र्ज़ है और तीन मरतबा सुन्नत। जहाँ गुस्ल दें मुस्तहब यह है कि पर्दा कर लें कि सिवा नहलाने वालों और मददगारों के दूसरा न देखे। नहलाते वक़्त ख़्वाह उस तरह लिटायें जैसे क़ब्र में रखते हैं या क़िब्ले की तरफ़ पाँव कर के या जो आसान हो करें। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– नहलाने वाला पाक हो। जुनुब या हैज़ वाली औरत ने गुस्ल दिया तो कराहत है मगर गुस्ल हो जायेगा और बेवुजू नहलाया तो कराहत भी नहीं। बेहतर यह है कि नहलाने वाला मय्यत का सबसे क़रीबी रिश्तेदार हो वह नहलाए और अगर नहलाना न जानता हो तो कोई और शख़्स नहलाये जो अमानतदार व परहेज़गार हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– नहलाने वाला एअ्तिमाद वाला शख़्स हो कि पूरी तरह गुस्ल दे और जो अच्छी बात देखे मसलन चेहरा चमक उठा या मय्यत के बदन से ख़ुश्बू आई तो उसे लोगों के सामने बयान करे और कोई बुरी बात देखी मसलन चेहरे का रंग स्याह हो गया बदबू आई या सूरत या आज़ा में तग़य्युर(बदलाव)आया तो इसे किसी से न कहे और ऐसी बात कहना जाइज़ भी नहीं कि हदीस में इरशाद हुआ अपने मुर्दों की ख़ूबियाँ ज़िक्र करो और उनकी बुराईयों से बाज़ रहो। (जौहरा नय्यिरा)

मसअ्ला :– अगर कोई बदमज़हब मरा और उसका रंग स्याह हो गया और कोई बुरी बात ज़ाहिर हुई तो इसको बयान करना चाहिए कि इससे लोगों को इबरत व नसीहत होगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– नहलाने वाले के पास ख़ुश्बू सुलगाना मुस्तहब है कि अगर मय्यत के बदन से बू आये तो उसे पता न चले वरना घबरायेगा नीज़ उसे चाहिए कि बक़द्रे ज़रूरत अअ्ज़ाए मय्यत की तरफ़ नज़र करे, बिला ज़रूरत किसी उ़ज़्व (अंग) की तरफ़ न देखे कि मुमकिन है उसके बदन में कोई ऐब हो जिसे वह छिपाता था। (जौहरा)

मसअ्ला :– अगर वहाँ इसके सिवा और भी नहलाने वाले हों तो नहलाने पर उजरत ले सकता है मगर अफ़ज़ल यह है कि न ले और अगर कोई दूसरा नहलाने वाला न हो तो उजरत लेना जाइज़ नहीं। (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जुनुब या हैज़ व निफ़ास वाली औरत का इन्तिकाल हुआ तो एक ही गुस्ल काफ़ी है कि गुस्ल वाजिब होने के कितने ही असबाब हों सब एक गुस्ल से अदा हो जाते हैं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मर्द को मर्द नहलाये और औरत को औरत। मय्यत छोटा लड़का है तो उसे औरत भी नहला सकती है और छोटी लड़की को मर्द भी। छोटे से यह मुराद है कि हद्दे शहवत को न

पहुँचे हों। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिस मर्द का अज़्वे तनासुल या उन्सयैन काट लिये गये हों वह मर्द ही है यअ्नी मर्द ही उसे ग़ुस्ल दे सकता है या उस की औरत (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत अपने शौहर को ग़ुस्ल दे सकती है जबकि मौत से पहले या बअ्द कोई ऐसी बात न हुई हो जिससे उसके निकाह से निकल जाये मसलन शौहर के लड़के या बाप को शहवत से छुआ या बोसा लिया या मआज़ल्लाह मुरतद हो गई अगर्चे ग़ुस्ल से पहले ही फिर मुसलमान हो गई कि इन वजहों से निकाह जाता रहा और अजनबिया हो गई लिहाज़ा ग़ुस्ल नहीं दे सकती।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत को तलाक़े रजई दी अभी तक इद्दत में थी कि शौहर का इन्तिक़ाल हो गया तो ग़ुस्ल दे सकती है और बाइन तलाक़ दी है तो अगर्चे इद्दत में है ग़ुस्ल नहीं दे सकती।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– उम्मे वलद या मुदब्बरा या मुकातबा या वैसी बांदी अपने मुर्दा आक़ा को ग़ुस्ल नहीं दे सकती कि यह सब अब उसकी मिल्क से ख़ारिज हो गईं। यूँही अगर यह मर जायें आक़ा नहीं नहला सकता। (दुर्रे मुख़्तार)

नोट :– "उम्मे वलद उस बांदी को कहते हैं जिस से मालिक का कोई बच्चा हो गया हो। मुदब्बरा वह बाँदी जिस से मालिक ने कहा कि मेरे मरने के बाद तू आज़ाद है मुकातबा वह बाँदी जिस से मालिक ने कहा कि तू अगर इतना–इतना रूपया दे दे तो तू आज़ाद हो जाये। (क़ादरी)

मसअ्ला :– औरत मर जाये तो शौहर उसे न नहला सकता है न छू सकता है और देखने की मनाही नहीं।(दुर्रे मुख़्तार)अवाम में जो यह मशहूर है कि शौहर औरत के जनाज़े को न कंधा दे सकता है न क़ब्र में उतार सकता है न मुँह देख सकता है यह महज़ ग़लत है सिर्फ़ नहलाने और उसके बदन को बिला हाइल यअ्नी बग़ैर किसी कपड़े वग़ैरा की आड़ के हाथ लगाने की मनाही है।

मसअ्ला :– औरत का इन्तिक़ाल हुआ और वहाँ कोई औरत नहीं कि नहला दे तो तयम्मुम कराया जाये फिर तयम्मुम कराने वाला महरम हो तो हाथ से तयम्मुम कराये और अजनबी हो अगर्चे शौहर तो हाथ पर कपड़ा लपेट कर जिन्से ज़मीन यअ्नी ऐसी चीज़ जिससे तयम्मुम जाइज़ हो और जो ज़मीन की जिन्स से हो उस पर हाथ मारे और तयम्मुम कराये और शौहर के सिवा कोई और अजनबी हो तो कलाईयों की तरफ़ नज़र न करे और शौहर को–इसकी हाजत नहीं और इस मसअ्ले में जवान और बुढ़िया दोनों का एक हुक्म है। (दुर्रे मुख़्तार,आलमगीरी वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– मर्द का इन्तिक़ाल हुआ और वहाँ न कोई मर्द है न उसकी बीवी तो जो औरत वहाँ है उसे तयम्मुम कराये फिर अगर औरत महरम है या इसकी बाँदी तो तयम्मुम में हाथ पर कपड़ा लपेटने की हाजत नहीं और अजनबी हो तो कपड़ा लपेट कर तयम्मुम कराये। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मर्द का सफ़र में इन्तिक़ाल हुआ और उसके साथ औरतें हैं और काफ़िर मर्द मगर मुसलमान मर्द कोई नहीं तो औरतें उस काफ़िर को नहलाने का तरीक़ा बता दें कि वह नहला दे और अगर मर्द कोई नहीं और छोटी लड़की साथ है कि नहलाने की ताक़त रखती है तो यह औरतें उसे सिखा दें कि वह नहलाए यूहीं अगर औरत का इन्तिक़ाल हुआ और कोई मुसलमान औरत नहीं और काफ़िरा औरत मौजूद है तो मर्द उस काफ़िरा को ग़ुस्ल की तअ्लीम करे और उससे नहलावाए या छोटा लड़का इस क़ाबिल हो कि नहला सके तो उसे बताये और वह नहलाये। (आलमगीरी)

मसअला :– ऐसी जगह इन्तिकाल हुआ कि पानी वहाँ नहीं मिलता तो तयम्मुम करायें और नमाज़ पढ़े और नमाज़ के बअ्द अगर दफ़न से पहले पानी मिल जाये तो नहला कर नमाज़ का इआदा करें। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– खुन्सा मुश्किल (जिसके मर्द या औरत होने की शनाख़्त न हो) का इन्तिकाल हुआ तो उसे न मर्द नहला सकता है न औरत बल्कि तयम्मुम कराया जाये और तयम्मुम कराने वाला अजनबी हो तो हाथ या कपड़ा लपेट ले और कलाईयों पर नज़र न करे। यूहीं खुन्सा मुश्किल छोटा बच्चा हो तो उसे मर्द भी नहला सकते हैं और औरतें भी यूहीं बरअक्स।

मसअला :– मुसलमान का इन्तिकाल हुआ और उसका बाप काफ़िर है तो उसे मुसलमान नहलायें उसके बाप के क़ाबू में न दें। काफ़िर मुसलमान हुआ और उसकी औरत काफ़िर है तो अगर किताबिया यअ्नी यहूदी वग़ैरा है नहला सकती है मगर बिला ज़रूरत उससे नहलवाना बहुत बुरा है और अगर मजूसिया या बुत–परस्त है और उसके मरने के बअ्द मुसलमान हो गई तो नहला सकती है बशर्ते कि निकाह में बाक़ी हो वर्ना नहीं और निकाह में बाक़ी रहने की सूरत यह है अगर सल्तनते इस्लामी में है तो हाकिमे इस्लाम शौहर के मुसलमान होने के बअ्द औरत पर इस्लाम पेश करे अगर मान लिया तो ठीक वरना फ़ौरन निकाह से निकल जायेगी और अगर सल्तनते इस्लामी में नहीं तो इस्लामे शौहर (यअ्नी शौहर के इस्लाम लाने)के बअ्द औरत को तीन हैज़ आने का इन्तिज़ार किया जायेगा। इस मुद्दत में मुसलमान हो गई तो ठीक वरना निकाह से निकल जायेगी और दोनों सूरतों में फिर अगर्चे मुसलमान हो जाये गुस्ल नहीं दे सकती। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मय्यत से गुस्ल उतर जाने और उस पर नमाज़ सही होने में नियत और फ़ेल शर्त नहीं यहाँ तक कि मुर्दा अगर पानी में गिर गया या उस पर मेंह बरसा कि सारे बदन पर पानी बह गया गुस्ल हो गया मगर ज़िन्दों पर जो गुस्ले मय्यत वाजिब है यह उस वक़्त बरीउज़्ज़िम्मा होंगे कि नहलायें। लिहाज़ा अगर मुर्दा पानी में मिला तो गुस्ल की नियत से उसे तीन बार पानी में हरकत दे दें कि गुस्ल की सुन्नत अदा हो जाये और एक बार हरकत दी तो वाजिब अदा हो गया मगर सुन्नत का मुतालबा रहा और बिला नियत नहलाने से बरीउज़्ज़िम्मा हो जायेंगे मगर सवाब न मिलेगा मसलन किसी को सिखाने की नियत से मय्यत को गुस्ल दिया वाजिब साक़ित हो गया मगर गुस्ले मय्यत का सवाब न मिलेगा। नीज़ गुस्ल हो जाने के लिए यह भी ज़रूरी नहीं कि नहलाने वाला मुकल्लफ़ (जिस पर नमाज़ वग़ैरा फ़र्ज़ हो)या अहले नियत (जिसकी नियत को शरीअत क़बूल करे)हो। नाबालिग़ या काफ़िर ने नहला दिया गुस्ल अदा हो गया। यूहीं अगर अजनबी औरत ने मर्द को या अजनबी मर्द ने औरत को गुस्ल दिया अदा हो गया अगर्चे इनको नहलाना जाइज़ न था।(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– किसी मुसलमान का आधे से ज़्यादा धड़ मिला तो गुस्ल व कफ़न देंगे और जनाज़े की नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज़ के बअ्द वह बाक़ी टुकड़ा भी मिला तो उस पर दो बारा नमाज़ न पढ़ेंगे और आधा धड़ मिला तो अगर उस में सर भी है जब भी यही हुक्म है और अगर सर न हो या लम्बाई में सर से पाँव तक दाहिना या बायाँ एक जानिब का हिस्सा मिला तो इन दोनों सूरतों में न गुस्ल है न कफ़न न नमाज़ बल्कि एक कपड़े में लपेट कर दफ़न कर दें। (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मुर्दा मिला और यह नहीं मालूम मुसलमान है या काफ़िर तो अगर उसकी वज़अ्

मुसलमानों की हो या कोई अलामत ऐसी हो जिससे मुसलमान होना साबित होता है या मुसलमानों के मुहल्ले में मिला तो गुस्ल दें और नमाज़ पढ़ें वरना नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– मुसलमान मुर्दे काफ़िर मुर्दों में मिल गये अगर ख़तना वग़ैरा किसी अलामत से शनाख़्त कर सकें तो मुसलमानों को जुदा कर के गुस्ल व कफ़न दें और नमाज़ पढ़ें और इम्तियाज़ न होता हो तो गुस्ल दें और नमाज़ में ख़ास मुसलमानों के लिए दुआ की नियत करें और उनमें अगर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा हो तो मुसलमानों के मक़बरे में दफ़न करें वरना अलाहिदा।(रद्दुल मुहतार)

मसअला :– काफ़िर मुर्दे के लिए गुस्ल व कफ़न व दफ़न नहीं बल्कि चिथड़े में लपेट कर तंग गड्ढे में दबा दें यह भी जब करें कि उसका कोई हम–मज़हब उसे ले न जाये वरना मुसलमान न हाथ लगायें न उसके जनाज़े में शिरकत करें और अगर रिश्तेदारी की वजह से शरीक हों तो दूर दूर रहे अगर मुसलमान ही उसका रिश्तेदार है और उसका हम–मज़हब कोई न हो या ले नहीं और रिश्तेदारी के लिहाज़ की वजह से गुस्ल व कफ़न करे तो जाइज़ है मगर किसी काम में सुन्नत का तरीक़ा न बरते बल्कि नजासत धोने की तरह उस पर पानी बहाये और चिथड़े में लपेट कर तंग गड्ढे में दबा दे। यह हुक्म काफ़िरे असली का है और मुरतद का हुक्म यह है कि मुतलक़न न उसे गुस्ल दें न कफ़न बल्कि कुत्ते की तरह किसी तंग गड्ढे में ढकेल कर मिट्टी से बग़ैर हाइल के पाट दें। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– ज़िम्मिया(वह काफ़िरा औरत जिससे बादशाहे इस्लाम टैक्स लेकर उसकी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करे)को मुसलमान का हमल था, वह मर गई अगर बच्चे में जान पड़ गई थी तो उसे मुसलमानों के क़ब्रिस्तान में अलाहिदा दफ़न करें और इसकी पीठ क़िब्ले को कर दें कि बच्चे का मुँह क़िब्ले को हो इसलिए कि जब बच्चा पेट में होता है तो उसका मुँह माँ की पीठ की तरफ़ होता है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मय्यत का बदन अगर ऐसा हो गया कि हाथ लगाने से खाल उधड़ेगी तो हाथ न लगायें सिर्फ़ पानी बहा दें। (आलमगीरी)

मसअला :– नहलाने के बअ्द अगर नाक, कान,मुँह और दीगर सूराख़ों में रूई रख दें तो हरज नहीं मगर बेहतर यह है कि न रखें। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार वग़ैरहुमा)

मसअला :– मय्यत की दाढ़ी या सर के बाल में कंघा करना या नाख़ून तराशना या किसी जगह के बाल मूंडना या कतरना या उखाड़ना नाजाइज़ व मकरूह तहरीमी है बल्कि हुक्म यह है कि जिस हालत पर है उसी हालत पर दफ़न कर दें, हाँ अगर नाख़ून टूटा हो तो ले सकते हैं और अगर नाख़ून या बाल तराश लिये तो कफ़न में रख दें। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार,आलमगीरी)

मसअला :– मय्यत के दोनों हाथ करवटों में रखें सीने पर न रखें कि यह कुफ़्फ़ार का तरीक़ा है जैसे नमाज़ के क़ियाम में यह भी न करें।

मसअला :– बअ्ज़ जगह मय्यत के गुस्ल के लिए कोरे घड़े बधने लाते हैं इसकी कुछ ज़रूरत नहीं घर के इस्तेमाली घड़े लोटे से भी गुस्ल दे सकते हैं और बअ्ज़ यह जहालत करते हैं कि गुस्ल के बाद तोड़ डालते हैं यह नाजाइज़ व हराम है कि माल बर्बाद करना है और अगर यह ख़्याल हो कि नजिस हो गये तो यह भी फ़ुज़ूल है कि अव्वल तो इस पर छींटें नहीं पड़तीं और पड़ीं भी तो राजेह

यह है यअ़नी यही बेहतर माना गया है कि मय्यत का ग़ुस्ल नजासते हुक्मिया दूर करने के लिए है तो मुस्तामल पानी की छींटें पड़ीं और मुस्तअ़मल पानी नजिस नहीं जिस तरह ज़िन्दों के वुज़ू व ग़ुस्ल का पानी, और अगर फ़र्ज़ किया जाये नजिस पानी की छींटें पड़ीं तो धो डालें धोने से पाक हो जायेंगे और अक्सर जगह घड़े मस्जिदों में रख देते हैं अगर नियत यह हो कि नमाज़ियों को आराम पहुँचेगा और उस मुर्दे को सवाब तो यह अच्छी नियत है और रखना बेहतर और अगर यह ख़याल हो कि घर में रखना नुहूसत है तो यह निरी हिमाक़त है और बअ़ज़ लोग घड़े का पानी फेंक देते हैं यह भी हराम है।

कफ़न का बयान

मसअ्ला :– मय्यत को कफ़न देना फ़र्ज़े किफ़ाया है।(अगर किसी ने कफ़न नहीं दिया तो जिस–जिस को मअ़लूम था सब गुनहागार हुए)कफ़न के तीन दर्जे हैं **1.ज़रूरत 2.किफ़ायत 3. सुन्नत। मर्द के लिए सुन्नत तीन कपड़े हैं 1. इज़ार 2. लिफ़ाफ़ा 3. क़मीस और औ़रत के लिए पाँच कपड़े सुन्नत हैं 1.इज़ार 2.लिफ़ाफ़ा 3.क़मीस 4. ओढ़नी 5. सीना बन्द।** कफ़ने किफ़ायत मर्द के लिए दो कपड़े हैं **1. लिफ़ाफ़ा 2. इज़ार** और औ़रत के लिए कफ़ने किफ़ायत तीन हैं 1.लिफ़ाफ़ा 2. इज़ार 3. ओढ़नी या 1. लिफ़ाफ़ा 2. क़मीस 3. ओढ़नी। कफ़ने ज़रूरत दोनों के लिए यह कि जो मयस्सर आये और कम अज़ कम इतना तो हो कि सारा बदन ढक जाये।(दुर्रे मुख़्तार,आलमगीरी वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– लिफ़ाफ़ा यअ़नी चादर की मिक़दार यह है कि मय्यत के क़द से इस क़द्र ज़्यादा हो कि दोनों त़रफ़ बाँध सकें और इज़ार यअ़नी तहबन्द चोटी से क़दम तक यानी लिफ़ाफ़ा से इतनी छोटी जो बन्दिश के लिए ज़्यादा था और क़मीस जिसको कफ़नी कहते हैं गर्दन से घुटनों के नीचे तक और यह आगे और पीछे दोनों त़रफ़ बराबर हो और जाहिलों में रिवाज है कि पीछे कम रखते हैं यह ग़लती है। चाक और आस्तीनें इसमें न हों। मर्द और औ़रत की कफ़नी में फ़र्क़ है। मर्द की कफ़नी मोंढे पर चीरें और औ़रत के लिए सीने की त़रफ़। ओढ़नी तीन हाथ की होनी चाहिए यानी डेढ़ गज़ सीना बन्द,पिस्तान से नाफ़ तक और बेहतर यह है कि रान तक हो। (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– बिला ज़रूरत कफ़ने किफ़ायत से कम करना नाजाइज़ व मकरूह है (दुर्रे मुख़्तार)बअ़ज़ मोहताज़ कफ़ने मसनून के लिए लोगों से सवाल करते हैं यह नाजाइज़ है कि सवाल बिला ज़रूरत जाइज़ नहीं और यहाँ ज़रूरत नहीं। अलबत्ता अगर कफ़ने ज़रूरत पर भी क़ादिर न हों तो बक़द्रे ज़रूरत सवाल करें ज़्यादा नहीं,हाँ अगर बग़ैर माँगे मुसलमान ख़ुद कफ़ने मसनून पूरा कर दें तो इन्शा अल्लाह तआ़ला पूरा सवाब पायेंगे। (फ़तावा रज़विया)

मसअ्ला :– वारिसों में इख़्तिलाफ़ हुआ कोई दो कपड़ों के लिए कहता है कोई तीन के लिए तो तीन कपड़े दिये जायेंगे यह सुन्नत है या यूँ किया जाये कि अगर माल ज़्यादा है और वारिस कम तो कफ़ने सुन्नत दें और माल कम है वारिस ज़्यादा तो कफ़ने किफ़ायत। (जौहरा वग़ैरा)

मसअ्ला :– कफ़न अच्छा होना चाहिए यानी मर्द ईदैन व जुमे के लिए जैसे कपड़े पहनता था और औ़रत जैसे कपड़े पहन कर मयके जाती थी उस क़ीमत का होना चाहिए। हदीस में है मुर्दों को अच्छा कफ़न दो कि वह एक दूसरे से मुलाक़ात करते और अच्छे कफ़न से तफ़ाख़ुर(फ़ख़्र) करते

यअ्नी खुश होते हैं सफ़ेद कफ़न बेहतर है कि नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया अपने मुर्दे सफ़ेद कपड़ों में कफ़नाओ। (ग़ुनिया, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– कुसुम (एक पीला रंग होता है)या ज़अ्फ़रान का रंगा हुआ या रेशम का कफ़न मर्द को मना है और औ़रत के लिए जाइज़ यानी जो कपड़ा ज़िन्दगी में पहन सकता है उसका कफ़न दिया जा सकता है और जो ज़िन्दगी में नाजाइज़ उस का कफ़न भी नाजाइज़ (आलमगीरी)

मसअ्ला :– खुन्सा मुश्किल को औ़रत की त़रह़ पाँच कपड़े दिये जायें मगर कुसुम या ज़ाफ़रान का रंगा हुआ रेशमी कफ़न उसे नाजाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी ने वसीयत की कि कफ़न में उसे दो कपड़े दिये जायें तो यह वसीयत जारी न की जाये, तीन कपड़े दिये जायें और अगर यह वसीयत की कि दस हज़ार रुपए का कफ़न दिया जाये तो यह भी नाफ़िज़ न होगी दरमियानी दर्जे का कफ़न दिया जाये। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जो नाबालिग़ ह़दे शहवत को पहुँच गया वह बालिग़ के हुक्म में है यअ्नी बालिग़ को कफ़न में जितने कपड़े दिये जाते हैं उसे भी दिये जायें और उससे छोटे लड़के को एक कपड़ा और छोटी लड़की को दो कपड़े दे सकते हैं और लड़के को भी दो कपड़े दिये जायें तो अच्छा है और बेहतर यह है कि दोनों को पूरा कफ़न दें अगर्चे एक दिन का बच्चा हो। (रद्दुल मुहतार वग़ैरा)

मसअ्ला :– पुराने कपड़े का भी कफ़न हो सकता है मगर पुराना हो तो धुला हुआ हो कि कफ़न सुथरा होना मरग़ूब (पसन्दीदा) है। (जौहरा)

मसअ्ला :– मय्यत ने अगर कुछ माल छोड़ा तो कफ़न उसी के माल से होना चाहिए और मदयून(कर्ज़दार) है तो क़र्ज़ख़्वाह(जिसका क़र्ज़ है)कफ़ने किफ़ायत से ज़्यादा को मना कर सकता है और मना न किया तो इजाज़त समझी जायेगी। (रद्दुल मुह़तार) मगर क़र्ज़ख़्वाह को मना करने का उस वक़्त ह़क़ है जब वह माल दैन (क़र्ज़) में मुस्तग़रक़ (घिरा हुआ)हो यानी सारे ही माल से दैन अदा हों।

मसअ्ला :– दैन व वसि़यत व मीरास इन सब पर कफ़न मुक़द्दम है और दैन वसि़यत पर और वसि़यत मीरास पर यअ्नी जो माल छोड़े उसमें से सब से पहले कफ़न फिर उसके बा़द क़र्ज़ उसके बा़द वसियत और उसके बा़द वारिसों का ह़क़।(जौहरा)

मसअ्ला :– मय्यत ने माल न छोड़ा तो कफ़न उसके ज़िम्मे है जिस के ज़िम्मे ज़िन्दगी में नफ़्क़ा था और अगर कोई ऐसा नहीं जिस पर नफ़्क़ा वाजिब होता, या है मगर नादार(बिल्कुल ग़रीब)है तो बैतुलमाल से दिया जाये और बैतुलमाल भी वहाँ न हो जैसे यहाँ हिन्दुस्तान में तो वहाँ के मुसलमानों पर कफ़न देना फ़र्ज़ है अगर मअ्लूम था न दिया तो सब गुनाहगार होंगे अगर उन लोगों के पास भी नहीं तो एक कपड़े की क़द्र दूसरे लोगों से सवाल कर ले। (जौहरा, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औ़रत ने अगर्चे माल छोड़ा उसका कफ़न शौहर के ज़िम्मे में है बशर्ते कि मौत के वक़्त कोई ऐसी बात न पाई गई जिससे औ़रत का नफ़्क़ा शौहर पर से साक़ित (ख़त्म) हो जाता अगर शौहर मरा और उसकी औ़रत मालदार है जब भी औ़रत पर कफ़न वाजिब नहीं।(आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– कफ़न के लिए सवाल करके लाये यअ्नी माँग के लाये उस में कुछ बच रहा है तो

अगर मअ्लूम है कि यह फ़लाँ ने दिया है तो उसे वापस कर दें वरना दूसरे मोहताज के कफ़न में सर्फ़ कर दें यह भी न हो तो तसद्दुक़ (सदक़ा)कर दें। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मय्यत ऐसी जगह है कि वहाँ सिर्फ़ एक शख़्स है उसके पास सिर्फ़ एक ही कपड़ा है तो उस पर यह ज़रूरी नहीं कि अपने कपड़े का कफ़न कर दे। (दुर्रे मुख़्तार)

कफ़न

मसअ्ला :– कफ़न पहनाने का तरीक़ा यह है मय्यत को गुस्ल देने के बाद बदन किसी कपड़े से आहिस्ता पोंछ लें कि कफ़न तर न हो और कफ़न को एक या तीन या पाँच या सात बार धूनी दे लें इससे ज़्यादा नहीं फिर कफ़न यूँ बिछायें कि बड़ी चादर फिर तहबंद फिर कफ़नी फिर मय्यत को उस पर लिटायें और कफ़नी पहनायें और दाढ़ी और तमाम बदन पर ख़ुश्बू मलें और मवाज़ेए सुजूद यअ्नी माथा,नाक, हाथ, घुटने,क़दम पर काफ़ूर लगायें फिर इज़ार यअ्नी तहबंद लपेटें पहले बाईं जानिब से फिर दाहिनी तरफ़ से फिर लिफ़ाफ़ा लपेटें पहले बाईं तरफ़ से फिर दाहिनी तरफ़ से ताकि दाहिना ऊपर रहे और सर और पाँव की तरफ़ बाँध लें कि उड़ने का अंदेशा न रहे। औरत को कफ़नी पहनाकर उसके बाल दो हिस्से कर के क़फ़नी के ऊपर सीने पर डाल दें और ओढ़नी आधी पीठ के नीचे से बिछाकर सर पर लाकर मुँह पर नक़ाब की तरह डाल दें कि सीने पर रहे क्यूँकि ओढ़नी की लम्बाई आधी पीठ से सीने तक है और चौड़ाई कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक है और यह जो लोग किया करते हैं कि ज़िन्दगी की तरह उढ़ाते हैं यह महज़ बेकार व ख़िलाफ़े सुन्नत है। फिर बदस्तूर इज़ार व लिफ़ाफ़ा लपेटें फिर सबके ऊपर सीनाबंद पिस्तान के ऊपर से रान तक लाकर बाँधें। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार वग़ैराहुमा)

मसअ्ला :– मर्द के बदन पर ऐसी ख़ुश्बू लगाना जाइज़ नहीं जिस में ज़अ्फ़रान की आमेज़िश (मिलावट)हो,औरत के लिए जाइज़ है जिसने एहराम बाँधा है उसके बदन पर भी ख़ुश्बू लगायें और उसका मुँह और सर कफ़न से छिपाया जाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर मुर्दे का कफ़न चोरी गया और लाश अभी ताज़ा है तो फिर कफ़न दिया जाये अगर मय्यत का माल बदस्तूर (बाक़ी)है तो उससे और तक़सीम हो गया तो वुर्सा के ज़िम्मे कफ़न देना है वसियत या क़र्ज़ में दिया गया तो उन लोगों पर नहीं और अगर कुल तर्का दैन में मुसतग़रक़ है और क़र्ज़दारों ने अब तक क़ब्ज़ा न किया हो तो इसी माल से दें और क़ब्ज़ा कर लिया तो उनसे वापस न लेंगे बल्कि कफ़न उसके ज़िम्मे है कि माल न होने की सूरत में जिस के ज़िम्मे होता है और अगर सूरते मज़कूरा (जो ऊपर ज़िक्र हुई)में लाश फट गई तो कफ़ने मसनून की हाजत नहीं एक कपड़ा काफ़ी है।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर मुर्दे को जानवर खा गया और कफ़न पड़ा मिला तो अगर मय्यत के माल से दिया गया है तर्के में शुमार होगा और किसी और ने दिया है अजनबी या रिश्तेदार ने तो देने वाला मालिक है जो चाहे करे। (आलमगीरी)

ज़रूरी मसअ्ला :– हिन्दुस्तान में आम रिवाज है कि कफ़ने मसनून के अलावा उपर से एक चादर उढ़ाते हैं वह तकियेदार या किसी मिस्कीन पर सदक़ा करते हैं और जानमाज़ होती है जिस पर इमाम जनाज़े की नमाज़ पढ़ाता है वह भी सदक़ा कर देते हैं अगर यह चादर व जानमाज़ मय्यत के

माल से न हों बल्कि किसी ने अपनी तरफ़ से दिया है और आदतन वही देता है जिस ने कफ़न दिया बल्कि कफ़न के लिए जो कपड़ा लाया जाता है वह उसी अन्दाज़ से लाया जाता है जिसमें ये दोनों भी हो जायें जब तो ज़ाहिर है कि उसकी इजाज़त है और इसमें कोई हरज नहीं और अगर मय्यत के माल से है तो दो सूरतें हैं एक यह कि वुरसा सब बालिग़ हों और सब की इजाज़त से हो जब भी जाइज़ है और अगर इजाज़त न दी तो जिसने मय्यत के माल से मँगाया और तसद्दुक़ किया उसके ज़िम्मे यह दोनों चीज़ें हैं यअ़नी उन में जो क़ीमत सर्फ़ हुई तर्के में शुमार की जायेगी और वह क़ीमत ख़र्च करने वाला अपने पास से देगा। दूसरी सूरत यह कि वुरसा में कुल या बाज़ नाबालिग़ हैं तो अब वह दोनों चीज़ें तर्के से हरगिज़ नहीं दी जा सकतीं अगर्चे उस नाबालिग़ ने इजाज़त भी दे दी हो कि नाबालिग़ के माल को सर्फ़ कर लेना हराम है। लोटे घड़े होते हुये ख़ास मय्यत के नहलाने के लिए ख़रीदे तो इसमें भी यही तफ़सील है,तीजा, दसवाँ, चालीसवाँ,शशमाही, बरसी के मसारिफ़ (ख़र्च)में भी यही तफ़सील है कि अपने माल से जो चाहे ख़र्च करे और मय्यत को सवाब पहुँचाये और मय्यत के माल से यह मसारिफ़ उसी वक़्त किये जायें कि सब वारिस बालिग़ हों और सब की इजाज़त हो वरना नहीं मगर जो बालिग़ हो अपने हिस्से से कर सकता है। एक सूरत और भी है कि मय्यत ने वसियत की हो तो दैन अदा करने के बअ़द जो बचे उसकी तिहाई में वसियत जारी होगी, अकसर लोग उस से ग़ाफ़िल हैं या नावाक़िफ़, इस क़िस्म के तमाम मसारिफ़ कर लेने के बअ़द अब जो बाक़ी रहता है उसे तर्का समझते हैं इन मसारिफ़ में न वारिस से इजाज़त लेते हैं, न नाबालिग़ का वारिस होना मुज़िर (नुक़सानदेह)जानते हैं और यह सख़्त ग़लती है। इस से कोई यह न समझे कि तीजा वग़ैरा को मना किया जाता है कि यह तो ईसाले सवाब है इसे कौन मनअ़ करेगा मनअ़ वह करे जो वहाबी हो बल्कि नाजाइज़ तौर पर जो इनमें सर्फ़ किया जाता है उससे मनअ़ किया जाता है कोई अपने माल से करे या वुरसा बालिग़ीन ही हों उनसे इजाज़त ले कर करे तो मनाही नहीं।

जनाज़ा ले चलने का बयान

मसअ्ला :– जनाज़े को कंधा देना इबादत है हर शख़्स को चाहिये कि इबादत में कोताही न करे और हुज़ूर सय्यदुल मुरसलीन स़ल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने सअ़द इब्ने मआ़ज़ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु का जनाज़ा उठाया। (जौहरा)

मसअ्ला :– सुन्नत यह है,कि चार शख़्स जनाज़ा उठायें एक–एक पाया एक–एक शख़्स ले और अगर सिर्फ़ दो शख़्सों ने जनाजा उठाया एक सरहाने और एक पाँयती तो बिला ज़रूरत मकरूह है और ज़रूरत से हो मसलन जगह तंग है तो हरज नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– सुन्नत यह है कि यके बाद दीगरे चारों पायों को कंधा दे और हर बार दस दस क़दम चले और पूरी सुन्नत यह है कि पहले दाहिने सरहाने कंधा दे फिर दाहिनी पाँयती फिर बायें सरहाने फिर बाईं पाँयती और दस–दस क़दम चले तो कुल चालीस क़दम हुए कि हदीस में है जो चालीस क़दम जनाज़ा ले चले उसके चालीस कबीरा गुनाह मिटा दिये जायेंगे। नीज़ हदीस में है जो के चारों पायों को कंधा दे अल्लाह तआ़ला उसकी हतमी (यक़ीनी) मग़फ़िरत फ़रमादेगा।(आलमगीरी,दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :– जनाज़ा ले चलने में चारपाई को हाथ से पकड़ कर मोंढे पर रखे असबाब (सामान)की

तरह गर्दन या पीठ पर लादना मकरूह है चौपाए पर जनाज़ा लादना मकरूह है।(आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– ठेले पर लादने का भी यही हुक्म है।

मसअला:–छोटा बच्चा दूध पीता या अभी दूध छोड़ा हो या इससे कुछ बड़ा उसको अगर एक शख़्स हाथ पर उठा कर ले चले तो हरज नहीं और यके बअ्द दीगरे हाथों हाथ लेते रहें और अगर कोई शख़्स सवारी पर हो और इतने छोटे जनाज़े को हाथ पर लिये हो जब भी हरज नहीं और इससे बड़ा मुर्दा हो तो चारपाई पर ले जायें। (गुनिया,आलमगीरी,वग़ैराहुमा)

मसअला :– जनाज़ा मोअ्तदिल तेज़ी (यानी दरमियानी चाल)से ले जायें मगर न इस तरह कि मय्यत को झटका लगे और साथ जाने वालों के लिए अफ़ज़ल यह है कि जनाज़े के पीछे चलें,दाहिने बायें न चलें और अगर कोई आगे चले तो उसे चाहिये कि इतनी दूर रहे कि साथियों में न शुमार किया जाये और सब के सब आगे हों तो मकरूह है। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला :– जनाज़े के साथ पैदल चलना अफ़ज़ल है और सवारी पर हो तो आगे चलना मकरूह आगे हो तो जनाज़े से दूर हो। (आलमगीरी,सग़ीरी)

मसअला :– औरतों को जनाज़े के साथ जाना नाजाइज़ व मना है और नोहा करने वाली यअ्नी ज़ोर–ज़ोर से बयान करके रोने वाली साथ में हो तो उसे सख़्ती से मना किया जाये अगर न माने तो उसकी वजह से जनाज़े के साथ जाना न छोड़ा जाये कि उसके नाजाइज़ फ़ेअ्ल से यह क्यूँ सुन्नत तर्क करे बल्कि दिल से उसे बुरा जाने और शरीक हो। (दुर्रे मुख़्तार,सग़ीरी)

मसअला :– अगर औरतें जनाज़े के पीछे हों और मर्द को यह अंदेशा हो कि पीछे चलने में औरतों से इख़्तिलात होगा या उनमें कोई नोहा करने वाली हो तो इन सूरतों में मर्द को आगे चलना बेहतर है। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जनाज़ा ले चलने में सरहाना आगे होना चाहिए और जनाज़े के साथ आग ले जाने की मनाही है। (आलमगीरी)

मसअला :– जनाज़े के साथ चलने वालों में सुकून (ख़ामोशी)की हालत होनी चाहिए मौत और अहवाल व क़ब्र की हौलनाकियों को पेशे नज़र रखें,दुनिया की बातें न करें न हँसें। हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु ने एक शख़्स को जनाज़े के साथ हँसते देखा फ़रमाया तू जनाज़े में हँसता है तुझ से कभी कलाम न करूँगा, और ज़िक्र करना चाहें तो दिल में करें और ज़माने के हालात के एअ्तिबार से अब उलमा ने ज़िक्रे जहर (यअ्नी आवाज़ से ज़िक्र)की भी इजाज़त दी है। (सग़ीरी,दुर्रे मुख़्तार वग़ैराहुमा)

मसअला :– जनाज़ा जब तक रखा न जाये बैठना मकरूह है और रखने के बाद बे–ज़रूरत खड़ा न रहे और अगर लोग बैठे हों और नमाज़ के लिए वहाँ जनाज़ा लाया गया तो जब तक रखा न जाये खड़े न हों यूँहीं अगर किसी जगह बैठे हों और वहाँ से जनाज़ा गुज़रा तो खड़ा होना ज़रूरी नहीं। हाँ जो शख़्स साथ जाना चाहता है वह उठे और जाये जब जनाज़ा रखा जाये तो यूँ न रखें कि क़िब्ले को पाँव हों या सर बल्कि आड़ा रखें कि दाहिनी करवट क़िब्ले को हो।(आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– जनाज़ा उठाने पर उजरत लेना देना जाइज़ है जबकि और उठाने वाले भी मौजूद हों।(आलमगीरी) मगर जो सवाब ले चलने पर हदीस में बयान हुआ उसे न मिलेगा कि उसने तो

बदला ले लिया।

मसअला :– मय्यत अगर पड़ोसी या रिश्तेदार या कोई नेक शख़्स हो तो उसके जनाज़े के साथ चलना नफ़्ल नमाज़ पढ़ने से अफ़ज़ल है।(आलमगीरी)

मसअला :– जो शख़्स जनाज़े के साथ हो उसे बग़ैर नमाज़ पढ़े वापस न होना चाहिये और नमाज़ के बअ्द औलियाए मय्यत से इजाज़त लेकर वापस हो सकता है और दफ़न के बाद औलिया से इजाज़त भी ज़रूरी नहीं। (आलमगीरी)

नमाज़े जनाज़ा का बयान

मसअला :– नमाज़े जनाज़ा फ़र्ज़े किफ़ाया है कि एक ने भी पढ़ ली तो सब ज़िम्मेदारी से बरी हो गये वरना जिस–जिस को ख़बर पहुँची थी और न पढ़ी गुनाहगार हुए। (आम्मए कुतुब)इसकी फ़र्ज़ियत का जो इन्कार करे काफ़िर है।

मसअला :– उसके लिए जमाअत शर्त नहीं एक शख़्स भी पढ़ ले फ़र्ज़ अदा हो गया। (आलमगीरी)

नमाज़े जनाज़ा के शराइत

मसअला :– नमाज़े जनाज़ा वाजिब होने के लिए वही शराइत हैं जो और नमाज़ों के लिये हैं यानी 1.क़ादिर 2.बालिग़ 3. आक़िल मुसलमान होना। एक बात इसमें ज़्यादा है यानी उसकी मौत की ख़बर होना। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– नमाज़े जनाज़ा में दो तरह की शर्तें हैं एक मुसल्ली के मुतअ़ल्लिक़ दूसरी मय्यत के मुतअ़ल्लिक़ 1. मुसल्ली के लिहाज़ से तो वही शर्तें हैं जो मुतलक़ नमाज़ की हैं यानी मुसल्ली का नजासते हुक्मिया व हक़ीक़िया से पाक होना और उसके कपड़े और जगह का पाक होना 2. सत्रे औरत 3. क़िब्ले को मुँह होना 4.नियत। इसमें वक़्त शर्त नहीं। और तकबीरे तहरीमा रुक्न है शर्त नहीं जैसा पहले ज़िक्र हुआ। (रद्दुल मुहतार वग़ैरा) बअ्ज़ लोग जूता पहने और बहुत लोग जूते पर खड़े होकर नमाज़े जनाज़ा पढ़ते हैं अगर जूता पहने पढ़ी तो जूता और उसके नीचे की ज़मीन दोनों का पाक होना ज़रूरी है, एक दिरहम से ज़्यादा नापाक होने की वजह से नमाज़ न होगी और जूते पर खड़े होकर पढ़ी तो जूते के तली का पाक होना ज़रूरी है।

मसअला :– जनाज़ा तैयार है जानता है कि वुज़ू या गुस्ल करेगा तो नमाज़ हो जायेगी तयम्मुम कर के पढ़े इसकी तफ़सील बाबे तयम्मुम में ज़िक्र हुई **मसअला** :– इमाम ताहिर(पाक) न था तो नमाज़ फिर पढ़े अगर्चे मुक़तदी ताहिर हों कि इमाम की न हुई किसी की न हुई और अगर इमाम ताहिर था और मुक़तदी बिला तहारत तो नमाज़ न दोहराई जाये अगर्चे मुक़तदियों की न हुई मगर इमाम की तो हो गई। यूँही औरत ने नमाज़ पढ़ाई और मर्दों ने उसकी इक़्तिदा की तो लौटाई न जाये अगर्चे मर्दों की इक़्तिदा सही न हुई मगर औरत की नमाज़ तो हो गई वही काफ़ी है और नमाज़े जनाज़ा की तकरार जाइज़ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– नमाज़े जनाज़ा सवारी पर पढ़ी तो न हुई। इमाम का बालिग़ होना शर्त है ख़्वाह इमाम मर्द हो या औरत। नाबालिग़ ने नमाज़ पढ़ाई तो न हुई (आलमगीरी) नमाज़े जनाज़ा में मय्यत से तअ़ल्लुक़ रखने वाली चन्द शर्तें हैं:–1.मय्यत का मुसलमान होना।

मसअला:–मय्यत से मुराद वह है जो ज़िन्दा पैदा हुआ फिर मर गया तो अगर वह मुर्दा पैदा हुआ बल्कि अगर निस्फ़ (आधे)से कम बाहर निकला उस वक़्त ज़िन्दा था और अकसर बाहर निकलने से पहले मर गया तो उसकी नमाज़ न पढ़ी जाये और तफ़सील आती है।

मसअला :– छोटे बच्चे के माँ–बाप दोनों मुसलमान हों या एक तो वह मुसलमान है उसकी नमाज़ पढ़ी जाये और दोनों काफ़िर हैं तो नहीं। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– मुसलमान को दारुलहरब में छोटा बच्चा तन्हा मिला और उसने उठा लिया फिर मुसलमान के यहाँ मरा तो उसकी नामज़ पढ़ी जाये। (आलमगीरी)

मसअला :– हर मुसलमान की नमाज़ पढ़ी जाये अगर्चे वह कैसा ही गुनाहगार व मुरतकिबे कबाइर यअ्नी कबीरा गुनाह करने वाला हो मगर चन्द क़िस्म के लोग हैं कि उनकी नमाज़ नहीं

1. **बाग़ी** यअ्नी जो इमामे बरहक़ पर नाहक़ ख़ुरूज करे और उसी बग़ावत में मारा जाये।
2. **डाकू** कि डाके में मारा गया न इन को ग़ुस्ल दिया जाये न इनकी नमाज़ पढ़ी जाये मगर जबकि बादशाहे इस्लाम ने इन पर काबू पाया और क़त्ल किया तो नमाज़ व ग़ुस्ल है या वह न पकड़े गये न मारे गये बल्कि वैसे ही मर गये तो भी ग़ुस्ल व नमाज़ है।
3. **जो लोग नाहक़ पासदारी** (यानी किसी की ग़लत हिमायत करने)में लड़ें बल्कि जो इनका तमाशा देख रहे थे और पत्थर आकर लगा और मर गये तो इनकी नमाज़ नहीं हाँ उनके मुतफ़र्रिक़ (अलग–अलग)होने के बाद, मरे तो नमाज़ है। 4.**जिसने कई शख़्स गला घोंट कर मार डाले।**
5. **शहर में रात को हथियार ले कर लूट मार करें** वह भी डाकू हैं इस हालत में मारे जायें तो उनकी भी नमाज़ न पढ़ी जाये।
6. **जिसने अपनी माँ या बाप को मार डाला** उसकी भी नमाज़ नहीं।
7. **जो किसी का माल छीन रहा था** और इस हालत में मारा गया उसकी भी नमाज़ नहीं।(आलमगीरी)

मसअला :– जिसने ख़ुदकुशी की हालाँकि यह बहुत बड़ा गुनाह है मगर उसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ी जायेगी अगर्चे क़स्दन, ख़ुदकुशी की हो. जो शख़्स रज्म किया गया या क़िसास में मारा गया उसे ग़ुस्ल देंगे और नमाज़ पढ़ेंगे। (दुर्रे मुख़्तार,आलमगीरी,वग़ैराहुमा)

(2) मय्यत के बदन व कफ़न का पाक होना।

मसअला :– बदन पाक होने से यह मुराद है कि उसे ग़ुस्ल दिया गया हो या ग़ुस्ल नामुमकिन होने की सूरत में तयम्मुम कराया गया हो और कफ़न पहनाने से पहले उसके बदन से नजासत निकली तो धो डाली जाये बाद में ख़ारिज हुई तो धोने की हाजत नहीं और कफ़न पाक हाने का यह मतलब है कि पाक कफ़न पहनाया जाये और बाद में अगर नजासत ख़ारिज हुई और कफ़न आलूदा हुआ तो हरज नहीं। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– बग़ैर ग़ुस्ल नमाज़ पढ़ी गई नमाज़ न हुई उसे ग़ुस्ल देकर फिर पढ़ें और अगर क़ब्र में रख चुके मगर मिट्टी अभी नहीं डाली गई तो क़ब्र से निकालें और ग़ुस्ल देकर नमाज़ पढ़ें और मिट्टी दे चुके तो अब नहीं निकाल सकते लिहाज़ा अब उसकी क़ब्र पर नमाज़ पढ़ें कि पहली नमाज़ न हुई थी क्योंकि बग़ैर ग़ुस्ल हुई थी और अब चूँकि ग़ुस्ल नामुमकिन है लिहाज़ा हो जायेगी।(रद्दुल मुहतार)

3. जनाज़े का वहाँ मौजूद होना यअ्नी कुल या अक्सर या निस्फ़ (आधा)सर के साथ मौजूद होना लिहाज़ा ग़ायब की नमाज़ नहीं हो सकती।

4. **जनाज़ा ज़मीन पर रखा होना** या हाथ पर हो मगर क़रीब हो अगर जानवर वग़ैरा पर लदा हो तो नमाज़ न होगी।

5. **जनाज़ा मुसल्ली के आगे क़िब्ले को होना** अगर मुसल्ली के पीछे होगा नमाज़ सही न होगी। अगर जनाज़ा उल्टा रखा यअ़नी इमाम के दाहिने मय्यत का क़दम हो तो नमाज़ हो जायेगी मगर क़स्दन ऐसा किया तो गुनाहगार हुए

मसअ्ला :– अगर क़िब्ले के जानने में ग़लती हुई यानी मय्यत को अपने ख़याल से क़िबले ही को रखा था मगर हक़ीक़तन क़िब्ले को नहीं तो तहर्री की जगह में अगर तहर्री की, नमाज़ हो गई वरना नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

नोट :– जिस जगह क़िब्ला का पता न चल सके कि किधर है वहाँ ग़ौर व फ़िक्र करे जिस तरफ़ दिल जमे नमाज़ पढ़े, इस ग़ौर व फ़िक्र को तहर्री कहते हैं। (क़ादरी)

(6) मय्यत का वह बदन का हिस्सा जिसका छुपाना फ़र्ज़ है, छुपा होना।

(7)मय्यत इमाम के मुहाज़ी (सामने)हो यअ़नी अगर एक मय्यत है तो उसका कोई हिस्सए बदन इमाम के मुहाज़ी हो और चन्द हों तो किसी एक का हिस्सए बदन इमाम के मुहाज़ी होना काफ़ी है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– **नमाज़े जनाज़ा में दो रुक्न हैं** 1. **चार बार अल्लाहु अकबर कहना** 2. **क़ियाम** बग़ैर उज़्र बैठ कर या सवारी पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी, न हुई और अगर वली या इमाम बीमार था उसने बैठकर पढ़ाई और मुक़तदियों ने खड़े होकर पढ़ी हो गई। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– **नमाज़े जनाज़ा में तीन चीज़ें सुन्नते मुअक्कदा हैं**:–

1. अल्लाह तआ़ला की हम्द व सना 2.नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम पर दुरूद 3. मय्यत के लिए दुआ़।

नमाज़े जनाज़ा का तरीक़ा

नमाज़े जनाज़ा पढ़ने का तरीक़ा यह है कि कान तक हाथ उठा कर अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ नीचे लायें और नाफ़ के नीचे हस्बे दस्तूर बाँध ले यअ़नी जैसे नमाज़ में बाँधते हैं और सना पढ़े यअ़नी

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ
وَ تَعَالٰى جَدُّكَ وَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَ لَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ .

तर्जमा :– " पाक है तू ऐ अल्लाह ! और मैं तेरी हम्द करता हूँ तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी अ़ज़मत बलन्द है और तेरी तारीफ़ बुज़ुर्ग है और तेरे सिवा कोई मअ़्बूद नहीं"।

फिर बग़ैर हाथ उठाये अल्लाहु अकबर कहे और दुरूद शरीफ़ पढ़े बेहतर वह दुरूद है जो नमाज़ में पढ़ा जाता है और कोई दूसरा पढ़ा जब भी हरज नहीं फिर अल्लाहु अकबर कह कर अपने और मय्यत और तमाम मोमिन व मोमिनीन के लिए दुआ़ करे और बेहतर यह है कि वह दुआयें पढ़े जो अहादीस में वारिद हैं और मासूर दुआयें (वह दुआयें जो अहादीस से साबित हों)अगर अच्छी तरह न पढ़ सके तो जो दुआ़ चाहे पढ़े मगर वह दुआ़ ऐसी हो कि उमूरे आख़िरत से मुतअ़ल्लिक़ हो। (जौहरा, नय्यिरा,आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)बअ़ज़ मासूर दुआयें यह है :-

दुआ न.1 :–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَ غَائِبِنَا وَ صَغِيْرِنَا وَ كَبِيْرِنَا وَ ذَكَرِنَا وَ اُنْثَانَا .اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ.وَ مَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ .اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ (هَا)وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهٗ (هَا)

तर्जमा : " ऐ अल्लाह ! बख़्श दे हमारे ज़िन्दा और मुर्दा और हमारे हाज़िर व ग़ाइब को और हमारे छोटे और हमारे बड़े को और हमारे मर्द, औरत को। ऐ अल्लाह! हममें से जिसे तू ज़िन्दा रखे उसे इस्लाम पर ज़िन्दा रख और हममें से जिसको तू वफ़ात दे उसे ईमान पर वफ़ात दे। ऐ अल्लाह तू हमें इसके अज्र से महरूम न रख और इसके बअ़्द हमें फ़ितने में न डाल।"

दुआ न. 2 :–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ (لَهَا)وَارْحَمْهُ (هَا) وَ عَافِهٖ (هَا)وَاعْفُ عَنْهُ (هَا) وَ اَكْرِمْ نُزُلَهٗ (هَا) وَ وَسِّعْ مُدْخَلَهٗ (هَا) وَ اغْسِلْهُ (هَا) بِالْمَاءِ وَ الثَّلْجِ وَ الْبَرَدِ وَ نَقِّهٖ (هَا) مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَ اَبْدِلْهُ (هَا)دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهٖ (هَا) وَ اَهْلًا خَيْرًا مِّنْ اَهْلِهٖ (هَا) (وَ زَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهٖ)وَ اَدْخِلْهُ (هَا) الْجَنَّةَ وَ اَعِذْهُ (هَا) مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَ عَذَابِ النَّارِ.

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह! इसको बख़्श दे और रहम कर और आफ़ियत दे और मुआ़फ़ कर और इज़्ज़त की मेहमानी कर इसकी जगह को कुशादा कर और इसको पानी और बर्फ़ ओले से धो दे और इसको ख़ता से पाक कर जैसा कि तूने सफ़ेद कपड़े को मैल से पाक किया और इसको घर के बदले में बेहतर घर दे और अहल के बदले में बेहतर अहल दे और बीवी के बदले में बेहतर बीवी और इस को जन्नत में दाख़िल कर और अज़ाबे क़ब्र और फ़ितनए क़ब्र व अज़ाबे जहन्नम से महफ़ूज़ रख।"

दुआ न.3 :–

اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ (اَمَتُكَ)وَ ابْنُ(وَ بِنْتُ)اَمَتِكَ يَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَ يَشْهَدُ (تَشْهَدُ)اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَ رَسُوْلُكَ اَصْبَحَ فَقِيْرًا(اَصْبَحَتْ فَقِيْرَةً)اِلٰى رَحْمَتِكَ وَ اَصْبَحْتَ غَنِيًّا عَنْ عَذَابِهٖ (هَا)تَخَلّٰى (تَخَلَّتْ) مِنَ الدُّنْيَا وَ اَهْلِهَا اِنْ كَانَ (كَانَتْ)زَاكِيًا(زَاكِيَةً)فَزَكِّهٖ (هَا) وَ اِنْ كَانَ (كَانَتْ) مُخْطِئًا (مُخْطِئَةً)فَاغْفِرْ لَهٗ (هَا)اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ (هَا) وَ لَا تُضِلَّنَا بَعْدَهٗ (هَا)

तर्जमा : " ऐ अल्लाह ! यह तेरा बन्दा है और तेरी बान्दी का बेटा है गवाही देता है कि तेरे सिवा कोई मअ़्बूद नहीं,तू तन्हा है, तेरा कोई शरीक नहीं। गवाही देता है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम तेरे बन्दे और रसूल हैं यह तेरी रहमत का मुहताज है और तू इसके अ़ज़ाब से ग़नी है,दुनिया और दुनिया वालों से जुदा हुआ अगर यह पाक है तो तू इसे पाक व साफ़ कर और अगर ख़ताकार है तो बख़्श दे। ऐ अल्लाह! इसके अज्र से हमें महरूम न रख और इसके बअ़्द हमें गुमराह न कर।

दुआ न.4 :–

اَللّٰهُمَّ هٰذَا(هٰذِهٖ)عَبْدُكَ (اَمَتُكَ)اِبْنُ(بِنْتُ)عَبْدِكَ اِبْنُ(بِنْتُ)اَمَتِكَ مَاضٍ فِيْهِ(هَا)حُكْمُكَ خَلَقْتَهٗ (هَا)وَ لَمْ يَكُ(تَكُ) هِيَ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا. نَزَلَ(نَزَلَتْ)بِكَ وَ اَنْتَ خَيْرُ مَنْزُوْلٍ بِهٖ اَللّٰهُمَّ لَقِّنْهُ(لَقِّنْهَا) حُجَّتَهٗ

حُجَّتَهَا)وَأَلْحِقْهُ(هَا)بِنَبِيِّهِ(هَا)مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَبِّتْهُ (هَا)بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فَإِنَّهُ(هَا)افْتَقَرَ(افْتَقَرَتْ)إِلَيْكَ وَاسْتَغْنَيْتَ عَنْهُ (هَا) كَانَ (كَانَتْ)يَشْهَدُ (تَشْهَدُ)أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ فَاغْفِرْلَهُ (هَا)وَارْحَمْهُ(هَا)وَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ (هَا)وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ (هَا)اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ (كَانَتْ)زَاكِيًا (زَاكِيَةً)مُزَكِّهِ(هَا)وَإِنْ كَانَ(كَانَتْ)خَاطِئًا (خَاطِئَةً)فَاغْفِرْلَهُ(لَهَا)

तर्जमा :–" ऐ अल्लाह! यह तेरा बन्दा है और तेरे बन्दे और तेरी बन्दी का बेटा है इसके मुतअ़ल्लिक़ तेरा हुक्म नाफ़िज़ है तूने इसे पैदा किया हालाँकि यह क़ाबिले ज़िक्र न था तेरे पास आया और तू उन सबसे बेहतर है जिनके पास उतरा जाये। ऐ अल्लाह! हुज्जत की तू इसको तलक़ीन कर और इसके नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के साथ मिला दे और क़ौले साबित पर इसे साबित रख इसलिए कि यह तेरी तरफ़ मुहताज है और तू इस ग़नी है। यह शहादत देता था कि अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं, पस इसे बख़्श दे और रहम कर और इसके अज्र से हमको महरूम न कर और इसके बअ़्द हमें फ़ितने में न डाल ऐ अल्लाह! अगर यह पाक है तो पाक कर और बदकार है तो बख़्श दे।

दुआ़ न.5 :–

اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ (اَمَتُكَ) وَ ابْنُ(بِنْتُ)اَمَتِكَ اِحْتَاجَ (اِحْتَاجَتْ)اِلٰى رَحْمَتِكَ وَ اَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهٖ (هَا)اِنْ كَانَ (كَانَتْ)مُحْسِنًا (مُحْسِنَةً)فَزِدْ فِيْ اِحْسَانِهٖ(هَا)وَ اِنْ كَانَ (كَانَتْ)مُسِيْئًا(مُسِيْئَةً)فَتَجَاوَزْ عَنْهُ(عَنْهَا)

तर्जमा :–" ऐ अल्लाह! यह तेरा बन्दा है और तेरी बन्दी का बेटा है तेरी रहमत का मुहताज है और तू इसके अ़ज़ाब से ग़नी है अगर नेककार है तो इसकी ख़ूबी में ज़्यादा कर और अगर गुनाहगार है तो दर–गुज़र फ़रमा"।

दुआ़ न. 6:–

اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ(اَمَتُكَ)وَابْنُ(بِنْتُ)عَبْدِكَ كَانَ (كَانَتْ)يَشْهَدُ(تَشْهَدُ)اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَ رَسُوْلُكَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ (بِهَا)مِنَّا اِنْ كَانَ(كَانَتْ)مُحْسِنًا (مُحْسِنَةً)فَزِدْ فِيْ اِحْسَانِهٖ وَ اِنْ كَانَ (كَانَتْ)مُسِيْئًا(مُسِيْئَةً)فَاغْفِرْلَهٗ (لَهَا)وَ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ(اَجْرَهَا)وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهٗ (بَعْدَهَا)

तर्जमा: " ऐ अल्लाह! यह तेरा बन्दा है और तेरे बन्दे का बेटा है, गवाही देता था कि अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम तेरे बन्दे और तेरे रसूल हैं और तू हमसे ज़्यादा इसे जानता है अगर नेकूकार है तो नेकी में ज़्यादा कर और अगर गुनाहगार है तो इसे बख़्श दे और इसके अज्र से हमें महरूम न कर और इसके बअ़्द फ़ितने में न डाल।"

दुआ़ न. 7 :–

اَصْبَحَ عَبْدُكَ هٰذَا (اَصْبَحَتْ اَمَتُكَ هٰذِهٖ)قَدْ تَخَلّٰى (تَخَلَّتْ)عَنِ الدُّنْيَا وَ تَرَكَهَا (وَ تَرَكَتْهَا)لِاَهْلِهَا افْتَقَرَ(وَ افْتَقَرَتْ)اِلَيْكَ اسْتَغْنَيْتَ عَنْهُ(عَنْهَا)وَقَدْ كَانَ(كَانَتْ)يَشْهَدُ(تَشْهَدُ)اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَ رَسُوْلُكَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهٗ (لَهَا)وَتَجَاوَزْ عَنْهُ(عَنْهَا)وَالْحِقْهُ(اَلْحِقْهَا)بِنَبِيِّهٖ(بِنَبِيِّهَا)

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

तर्जमा :– " आज तेरा यह बन्दा दुनिया से निकला और दुनिया को अहले दुनिया के लिये छोड़ा तेरी तरफ़ मुहताज है और तू इससे ग़नी। गवाही देता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तेरे बन्दे और रसूल हैं। ऐ अल्लाह! तू इसको बख़्श दे और इससे दरगुज़र फ़रमा और इसको इसके नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ लाहिक़ कर दे (मिला दे)।

दुआ न. 8 :–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبُّهَا وَ اَنْتَ خَلَقْتَهَا وَ اَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْاِسْلَامِ ط وَ اَنْتَ قَبَضْتَ رُوْحَهَا وَ اَنْتَ اَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَ عَلَا نِيَّتِهَا جِئْنَا شُفَعَآءَ فَاغْفِرْلَهَا

तर्जमा : " ऐ अल्लाह! तू इसका रब है और तूने इसको पैदा किया और तूने इसको इस्लाम की तरफ़ हिदायत की और तूने इसकी रूह को क़ब्ज़ किया तू इसके पोशीदा और ज़ाहिर को जानता है हम सिफ़ारिश के लिए हाज़िर हुए इसे बख़्श दे"।

दुआ न.9 :–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاِخْوَانِنَا وَ اَخَوَاتِنَا وَ اَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَ اَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِنَا اَللّٰهُمَّ هٰذَا(هٰذِهٖ)عَبْدُكَ(اَمَتُكَ)فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ (فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ)وَ لَا نَعْلَمُ اِلَّا خَيْرًا وَّ اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ (بِهَا)مِنَّا فَاغْفِرْلَنَا وَ لَهٗ(لَهَا)

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह! हमारे भाईयों और बहनों को तू बख़्श दे और हमारे आपस की हालत दुरुस्त कर और हमारे दिलों में उल्फ़त पैदा कर दे। ऐ अल्लाह ! यह तेरा बन्दा फुलाँ इब्ने फुलाँ है हम इसके मुतअल्लिक़ ख़ैर के सिवा कुछ नहीं जानते और तू इसको हमसे ज़्यादा जानता है तू हमको और इसको बख़्श दे।

दुआ न. 10 :–

اَللّٰهُمَّ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ (فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ)فِيْ ذِمَّتِكَ وَ حَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهٖ (فَقِهَا)مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَ عَذَابِ النَّارِ وَ اَنْتَ اَهْلُ الْوَفَآءِ وَالْحَمْدِ. اَللّٰهُمَّ فَاغْفِرْلَهٗ(فَاغْفِرْلَهَا)وَارْحَمْهُ(وَارْحَمْهَا)اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह! फुलाँ इब्ने फुलाँ तेरे ज़िम्मे और तेरी हिफ़ाज़त में है इस को फ़ितनए क़ब्र और अज़ाबे जहन्नम से बचा। तू वफ़ा और हम्द का अहल है। ऐ अल्लाह! तू इस को बख़्श और रहम कर बेशक तू बख़्शने वाला मेहरबान है।

दुआ न.11 :–

اَللّٰهُمَّ اَجِرْهَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ. اَللّٰهُمَّ جَافِ الْاَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهَا وَ صَعِّدْ رُوْحَهَا وَ لَقِّهَا مِنْكَ رِضْوَانًا.

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह! इसको शैतान और अज़ाबे क़ब्र से बचा। ऐ अल्लाह ! ज़मीन को इसकी दोनों करवटों से कुशादा कर दे और इसकी रूह को बलन्द कर और अपनी ख़ुशनूदी दे।

दुआ न.12 :–

اَللّٰھُمَّ اِنَّكَ خَلَقْتَنَا وَ نَحْنُ عِبَادُكَ اَنْتَ رَبُّنَا وَ اِلَيْكَ مَعَادُنَا

तर्जमा :–"ऐ अल्लाह! तूने हमको पैदा किया और हम तेरे बन्दे हैं तू हमारा रब है और तेरी ही तरफ़ हमको लौटना है।

दुआ न.13 :–

اَللّٰھُمَّ اغْفِرْ لِاَوَّلِنَا وَ اٰخِرِنَا وَ حَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا وَ ذَكَرِنَا وَ اُنْثَانَا وَ صَغِيْرِنَا وَ كَبِيْرِنَا

وَ شَاهِدِنَا وَ غَائِبِنَا اَللّٰھُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ (اَجْرَهَا) وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهٗ (بَعْدَهَا)

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह! बख़्श दे हमारे अगले और पिछले को और हमारे ज़िन्दा व मुर्दा को और हमारे मर्द व औरत को और हमारे छोटे और बड़े को और हमारे हाज़िर व ग़ाइब को। ऐ अल्लाह ! इस के अज्र से हमें महरूम न कर और इसके बअ़्द हमें फ़ितने में न डाल"।

दुआ न.14 :–

اَللّٰھُمَّ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا بَدِيْعَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِاَنِّيْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ. اَللّٰھُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ وَ اَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ الرَّحْمَةِ ط صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. اَللّٰھُمَّ اِنَّ الْكَرِيْمَ اِذَا اَمَرَ بِالسُّؤَالِ لَمْ يَرُدَّهٗ اَبَدًا وَّ قَدْ اَمَرْتَنَا فَدَعَوْنَا وَ اَذِنْتَ لَنَا فَشَفَعْنَا وَ اَنْتَ اَكْرَمُ الْاَكْرَمِيْنَ ط. فَشَفِّعْنَا فِيْهِ (فِيْهَا) وَارْحَمْهُ (وَارْحَمْهَا) فِيْ وَحْدَتِهٖ (وَحْدَتِهَا) وَارْحَمْهُ (وَارْحَمْهَا) فِيْ وَحْشَتِهٖ (وَحْشَتِهَا) وَارْحَمْهُ (وَارْحَمْهَا) فِيْ غُرْبَتِهٖ (غُرْبَتِهَا) وَارْحَمْهُ (وَارْحَمْهَا) فِيْ كُرْبَتِهٖ (كُرْبَتِهَا) وَاعْظِمْ لَهٗ (لَهَا) اَجْرَهٗ (اَجْرَهَا) وَ نَوِّرْ لَهٗ (لَهَا) قَبْرَهٗ (قَبْرَهَا) وَ بَيِّضْ لَهٗ (لَهَا) وَجْهَهٗ (وَجْهَهَا) وَ بَرِّدْ لَهٗ (لَهَا) مَضْجَعَهٗ (مَضْجَعَهَا) وَ عَطِّرْ لَهٗ (لَهَا) مَنْزِلَهٗ (هَا) وَاَكْرِمْ لَهٗ (هَا) نُزُلَهٗ (لَهَا) يَاخَيْرَ الْمُنْزِلِيْنَ ع. وَ يَا خَيْرَ الْغَافِرِيْنَ ع. وَ يَا خَيْرَ الرَّاحِمِيْنَ ع. اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِ الشَّافِعِيْنَ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ. وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह! ऐ अरहमुर्राहिमीन ! ऐ अरहमुर्राहिमीन ! ऐ अरहमुर्राहिमीन ! ऐ ज़िन्दा ! ऐ कय्यूम! ऐ आसमान व ज़मीन के पैदा करने वाले ऐ! अज़मत व बुज़ुर्गी वाले ! मैं तुझ से सवाल करता हूँ इस वजह से कि मैं शहादत देता हूँ कि तू अल्लाह यकता है बेनियाज़ जो न दूसरे को जना न दूसरे से जना गया और उसका मुक़ाबिल कोई नहीं। ऐ अल्लाह ! मैं सवाल करता हूँ और तेरी तरफ़ तेरे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के ज़रिए मुतवज्जेह होता हूँ। ऐ अल्लाह करीम! जब सवाल का हुक्म देता है तो वापस कभी नहीं करता और तूने हमें हुक्म दिया हमने दुआ़ की और तूने हमें इजाज़त दी हमने सिफ़ारिश की और तू सब करीमों से ज़्यादा करीम है, हमारी सिफ़ारिश उसके बारे में कबूल कर और इसकी तन्हाई में तू इस पर रहम कर और इसकी

वहशत में तू रहम कर और इसकी गुर्बत में तू रहम कर और इसकी बेचैनी में तू रहम कर और इसके अज्र को अज़ीम कर और इसकी कब्र को मुनव्वर कर और इसके चेहरे को सफ़ेद कर और इसकी ख़्वाबगाह को ठन्डा कर और इसकी मन्ज़िल को मुअत्तर कर और इसकी मेहमानी का सामान अच्छा कर। ऐ बेहतर उतारने वाले और ऐ बेहतर बख़्शने वाले और ऐ बेहतर फ़रमाने वाले आमीन आमीन आमीन दुरूद व सलाम भेज और बरकत कर शफ़ाअत करने वालों के सरदार मुहम्मद (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम)और उनकी आल व असहाब सब पर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो रब है तमाम जहान का

नोट :– यह दुआयें याद करने से पहले किसी सुन्नी सहीहुल अक़ीदा आलिम से समझ लें तो बहुत बेहतर है।

फ़ाइदा :– नवीं और दसवीं दआओं में अगर मय्यत के बाप का नाम मअ्लूम न हो तो उसकी जगह हज़रते आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहे कि वह सब आदमियों के बाप हैं और अगर खुद मय्यत का नाम भी मालूम न हो तो नवीं दुआ में "हाज़ा अब्दुका" या "हाज़ा अमतुका" पर कनाअत करे फुलाँ इब्ने फुलाँ या बिन्ते को छोड़ दे और दसवीं में इसकी जगह "अब्दुका हाज़ा" या औरत हो तो "अमतुका हाज़िही" कहे।

फ़ायदा :– मय्यत का फ़िस्क़ व फ़ुजूर मअ्लूम हो तो नवीं दुआ में "ला नअ्लमु इल्ला ख़ैरन" की जगह "क़दअलिमना मिन्हु ख़ैरन" कहे इस्लाम हर ख़ैर से बेहतर ख़ैर है।

फ़ायदा :– इन दुआओं में बाज़ मज़ामीन मुकर्रर हैं और दुआ में तकरार मुस्तहसन (अच्छा) अगर सब दुआयें याद हों और वक़्त में गुन्जाइश हो तो सब का पढ़ना औला वरना जो चाहे पढ़े और इमाम जितनी देर यह दुआयें पढ़े अगर मुक़तदी को याद न हों तो पहली दुआ के बअ्द आमीन आमीन कहता रहे।

मसअला :– मय्यत मजनून (पागल) या नाबालिग़ हो तो तीसरी तकबीर के बअ्द यह दुआ पढ़े :–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّ ذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّ مُشَفَّعًا

और लड़की हो तो اِجْعَلْهَا और شَافِعَةً وَّ مُشَفَّعَةً कहे। (जौहरा)

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह! तू इसको हमारे लिए पेशरौ कर और इसको हमारे लिए ज़ख़ीरा कर और इसको हमारी शफ़ाअत करने वाला और मक़बूले शफ़ाअत कर दे"

मजनून से मुराद वह मजनून है कि बालिग़ होने से पहले मजनून हुआ कि वह मुकल्लफ़ ही न हुआ और अगर जुनूने आरिज़ी है तो उसकी मग़फ़िरत की दुआ की जाये जैसे औरों के लिए हों और आज़ाद शुदा ग़ुलाम में बाप और बेटे और दीगर वुरसा आक़ा पर मुक़द्दम हैं।(दुर्रे मुख़्तार) की जाती है कि जुनून से पहले तो वह मुकल्लफ़ था और जुनून के पहले के गुनाह जुनून से जाते न रहे। (ग़ुनिया)

मसअला :– चौथी तकबीर के बअ्द बग़ैर कोई दुआ पढ़े हाथ खोल कर सलाम फेर दे सलाम में मय्यत और फ़रिश्तों और हाज़िरीने नमाज़ की नियत करे उसी तरह जैसे और नमाज़ों के सलाम में नियत की जाती है यहाँ इतनी बात ज़्यादा है कि मय्यत की भी नियत करे।(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार,खुलासा)

मसअला :– तकबीर व सलाम को इमाम जहर (आवाज़)के साथ कहे बाक़ी तमाम दुआयें आहिस्ता पढ़ी जायें और सिर्फ़ पहली मर्तबा अल्लाहु अकबर कहने के वक़्त हाथ उठाये फिर हाथ उठाना

नहीं। (जौहरा,दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– नमाज़े जनाज़ा में क़ुर्आन ब–नियते क़ुर्आन या तशह्हुद पढ़ना मना है और ब–नियते दुआ व सना सूरए फ़ातिहा वग़ैरा आयाते दुआईया व सना पढ़ना जाइज़ है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– बेहतर है कि नमाज़े जनाज़ा में तीन सफ़ें करे कि ह़दीस में है जिसकी नमाज़ तीन सफ़ों ने पढ़ी उसकी मग़फ़िरत हो जायेगी और अगर कुल सात ही शख़्स हों तो एक इमाम हो और तीन पहली सफ़ में और दो दूसरी में और एक तीसरी में। (ग़ुनिया)

मसअ्ला :– जनाज़े में पिछली सफ़ को तमाम सफ़ों पर फ़ज़ीलत है यानी पिछली में खड़े होना अगली के मुक़ाबले अफ़ज़ल है । (दुर्रे मुख़्तार)

नमाज़े जनाज़ा कौन पढ़ाये

मसअ्ला :– नमाज़े जनाज़ा में इमामत का ह़क़ बादशाहे इस्लाम को है फिर क़ाज़ी फिर इमामे जुमा फिर इमामे मुहल्ला फिर वली को। इमामे मुहल्ला का वली पर तक़द्दुम मुस्तहब है और यह भी उस वक़्त कि वली से अफ़ज़ल हो वरना वली बेहतर है। (ग़ुनिया दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– वली से मुराद मय्यत के अ़सबा (अ़सबा से मुराद हर वह शख़्स हैं जिन के मुक़र्रर शुदा हिस्से नहीं अलबत्ता असहाबे फ़राइज़ से जो बचता है इसे ही मिलता है) हैं और नमाज़ पढ़ाने में औलिया की वही तरतीब है जो निकाह़ में है सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है कि जनाज़े में मय्यत का बाप बेटे पर मुक़द्दम है और निकाह़ में बेटा बाप पर। अलबत्ता अगर बाप आ़लिम नहीं और बेटा आ़लिम है तो नमाज़े जनाज़ा में भी बेटा मुक़द्दम है अगर अ़सबा न हों तो ज़विल अरहाम(रिश्तेदार)ग़ैरों पर मुक़द्दम हैं। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला :– मय्यत का वली अक़रब(सबसे ज़्यादा क़रीबी रिश्तेदार)ग़ायब है और वलीए अबअ़द (दूर का रिश्ते वाला वली)हाज़िर है तो यही अबअ़द नमाज़ पढ़ाये,ग़ायब होने से मुराद यह है कि इतनी दूर है कि उसके आने के इन्तिज़ार में ह़रज हो। (रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला :– औ़रत का कोई वली न हो तो शौहर नमाज़ पढ़ाये वह भी न हो तो पड़ोसी यूँही मर्द का वली न हो तो पड़ोसी औरों पर मुक़द्दम है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :–ग़ुलाम मर गया तो उसका आक़ा बेटे और बाप पर मुक़द्दम है अगर्चे यह दोनों आज़ाद हों

मसअ्ला :– मुकातिब(मुकातिब वह ग़ुलाम जो कि तै शुदा रक़म देने पर आज़ाद हो जायेगा)का बेटा या ग़ुलाम मर गया तो नमाज़ पढ़ाने का ह़क़ मुकातिब को है मगर उसका मौला अगर मौजूद हो तो उसे चाहिए कि मौला से पढ़वाये और अगर मुकातिब मर गया और इतना माल छोड़ा कि किताबत का बदल अदा हो जाये यअ़्नी वह रक़म अदा हो जाये और वह माल वहाँ मौजूद है तो उसका बेटा नमाज़ पढ़ाये और माल ग़ायब है तो मौला। (जौहरा)

मसअ्ला :– औ़रतों और बच्चों को नमाज़े जनाज़ा की विलायत नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– वली और बादशाहे इस्लाम को इख़्तियार है कि किसी और को नमाज़े जनाज़ा पढ़ाने की इजाज़त दे दें। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मय्यत के वलीए अक़रब (सबसे ज़्यादा क़रीबी रिश्तेदार)और वलीए अबअ़द (दूर के

रिश्ते वाले)दोनों मौजूद हैं तो वलीए अक़रब को मना करने का इख़्तियार है कि अबअ़द के सिवा किसी और से पढ़वाये,अबअ़द को मनअ़् करने का इख़्तियार नहीं और अगर वलीए अक़रब ग़ायब है और इतनी दूर है कि उसके आने का इन्तिज़ार न किया जा सके और किसी तहरीर के ज़रीए से अबअ़द के सिवा किसी और से पढ़वाना चाहे तो अबअ़द को इख़्तियार है कि उसे रोक दे और अगर वली अक़रब मौजूद है मगर बीमार है तो जिससे चाहे पढ़वा दे अबअ़द को मनअ़् का इख़्तियार नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत मर गई शौहर और जवान बेटा छोड़ा तो विलायत बेटे को है शौहर को नहीं अलबत्ता अगर यह लड़का उसी शौहर से है तो बाप पर पेशक़दमी मकरूह है इसे चाहिए बाप से पढ़वाये और अगर दूसरे शौहर से है तो सौतेले बाप पर तक़द्दुम कर सकता है कोई हरज नहीं और बेटा बालिग़ न हो तो औरत के जो और वली हैं उनका हक़ है शौहर का नहीं। (जौहरा, आलमगीरी)

मसअ्ला :– दो या चन्द शख़्स एक दर्जे के वली हों तो ? ज़्यादा हक़ उसका है जो उम्र में बड़ा है मगर किसी को यह इख़्तियार नहीं कि दूसरे वली के सिवा किसी और से बग़ैर उसकी इजाज़त के पढ़वा दे और अगर ऐसा किया यअ़्नी ख़ुद न पढ़ाई और किसी को इजाज़त दे दी तो दूसरे वली के मनअ़् का इख़्तियार है अगर्चे यह दूसरा वली उम्र में छोटा हो और अगर एक वली ने एक शख़्स को इजाज़त दी दूसरे ने दूसरे को तो जिसको बड़े ने इजाज़त दी वह औला हे। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– मय्यत ने वसियत की थी कि मेरी नमाज़ फ़ुलाँ पढ़ाये या मुझे फ़ुलाँ शख़्स ग़ुस्ल दे तो यह वसियत बातिल है यअ़्नी इस वसियत से वली का हक़ जाता न रहेगा, हाँ वली को इख़्तियार है कि ख़ुद न पढ़ाये उससे पढ़वा दे। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– वली के सिवा किसी ऐसे ने नमाज़ पढ़ाई जो वली पर मुक़द्दम न हो और वली ने उसे इजाज़त भी न दी थी तो अगर वली नमाज़ में शरीक न हुआ तो नमाज़ का इआ़दा वह कर सकता है यअ़्नी नमाज़ लौटा सकता है और अगर मुर्दा दफ़्न हो गया है तो क़ब्र पर नमाज़ पढ़ सकता है और अगर वह वली पर मुक़द्दम है जैसे बादशाह,क़ाज़ी व इमामे मुहल्ला कि वली से अफ़ज़ल हों तो अब वली नमाज़ का इआ़दा नहीं कर सकता और अगर एक वली ने नमाज़ पढ़ा दी तो दूसरे औलिया इआ़दा नहीं कर सकते और इआ़दा की हर सूरत में जो शख़्स पहली नमाज़ में शरीक न था वली के साथ पढ़ सकता है और जो शख़्स शरीक था वह वली के साथ नहीं पढ़ सकता है कि जनाज़े की नमाज़ दो मरतबा जाइज़ नहीं है सिवा इस सूरत के कि ग़ैरे वली ने बग़ैर वली की इजाज़त पढ़ाई। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– जिन चीज़ों से तमाम नमाज़ें फ़ासिद होती हैं नमाज़े जनाज़ा भी उनसे फ़ासिद हो जाती है सिवा एक बात के कि औरत मर्द के मुहाज़ी हो जाये तो नमाज़े जनाज़ा फ़ासिद न होगी।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुस्तहब यह है कि मय्यत के सीने के सामने खड़ा हो और मय्यत से दूर न हो मय्यत चाहे मर्द हो या औरत बालिग़ हो या नाबालिग़। यह उस वक़्त है कि एक ही मय्यत की नमाज़ पढ़ानी हो और अगर चन्द हों तो एक के सीने के मुक़ाबिल और करीब खड़ा हो।(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– इमाम ने पाँच तकबीरें कहीं तो पाँचवीं तकबीर में मुक़तदी इमाम की मुताबअ़त(पैरवी) न करे बल्कि चुप खड़ा रहे जब इमाम सलाम फेरे तो उसके साथ सलाम फेर दे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– बअ्ज़ तकबीरें फ़ौत हो गईं यअ्नी उस वक़्त आया कि बअ्ज़ तकबीरें हो चुकी हैं तो फ़ौरन शामिल न हो उस वक़्त हो जब इमाम तकबीर कहे और अगर इन्तिज़ार न किया बल्कि फ़ौरन शामिल हो गया तो इमाम के तकबीर कहने से पहले जो कुछ अदा किया उस का एअ्तिबार नहीं अगर वहीं मौजूद यह मगर तकबीरे तहरीमा के वक़्त इमाम के साथ अल्लाहु अकबर न कहा ख़्वाह ग़फ़लत की वजह से देर हुई या नियत ही करता रह गया तो यह शख़्स इसका इन्तिज़ार न करे कि इमाम दूसरी तकबीर कहे तो उसके साथ शामिल हो बल्कि फ़ौरन ही शामिल हो जाये। (दुर्रे मुख़्तार ,ग़ुनिया)

मसअला :– मसबूक़ यअ्नी जिसकी तकबीरें फ़ौत हो गयीं वह अपनी बाक़ी तकबीरें इमाम के सलाम फेरने के बअ्द कहे और अगर यह अन्देशा हो कि दुआ पढ़ेगा तो पूरी करने से पहले लोग मय्यत को कंधे तक उठा लेंगे तो सिर्फ़ तकबीरें कह ले दुआयें छोड़ दे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– लाहिक़ यानी जो शुरूअ् में शामिल हुआ मगर किसी वजह से दरमियान की बाज़ तकबीरें रह गयीं मसलन पहली तकबीर इमाम के साथ कही मगर दूसरी और तीसरी जाती रहीं तो इमाम की चौथी तकबीर से पहले यह तकबीरें कह ले। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– चौथी तकबीर के बअ्द जो शख़्स आया तो जब तक इमाम ने सलाम न फेरा शामिल हो जाये और इमाम के सलाम के बअ्द तीन बार अल्लाहु अकबर कह ले। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– कई जनाज़े जमा हों तो एक साथ सब की नमाज़ पढ़ सकता है यअ्नी एक ही नमाज़ में सब की नियत कर ले और अफ़ज़ल यह है कि सबकी अलाहिदा–अलाहिदा पढ़े और इस सूरत में यअ्नी जब अलाहिदा–अलाहिदा पढ़े तो उनमें जो अफ़ज़ल है उसकी पहले पढ़े फिर उसकी जो उस के बअ्द सब में अफ़ज़ल है इसी तरह क़यास कर लें (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– चन्द जनाज़े की नमाज़ एक साथ पढ़ाई तो इख़्तियार है सबको आगे पीछे रखें यअ्नी सबका सीना इमाम के मुक़ाबिल हो या बराबर–बराबर रखें यानी एक की पाऍंती या सरहाना दूसरे को पड़े और उस दूसरे की पाएंती या सरहाना तीसरे को और इसी पर समझ लें,अगर आगे पीछे रखें तो इमाम के क़रीब उसका जनाज़ा हो जो सब में अफ़ज़ल हो फिर उसके बअ्द जो अफ़ज़ल हो और इसी पर क़यास कर लें और अगर फ़ज़ीलत में बराबर हों तो जिसकी उम्र ज़्यादा हो उसे इमाम के क़रीब रखें ,यह उस वक़्त है कि सब एक जिन्स के हों और अगर मुख़्तलिफ़ जिन्स के हों तो इमाम के क़रीब मर्द हों उसके बअ्द लड़का फिर ख़ुन्सा फिर औरत फिर मुराहिक़ा(जो बालिग़ा होने के क़रीब हो) यअ्नी नमाज़ में जिस तरह मुक़तदियों की सफ़ में तरतीब है उसका अक्स(यअ्नी उल्टा)यहाँ है और अगर आज़ाद व ग़ुलाम के जनाज़े हों तो आज़ाद को इमाम से क़रीब रखेंगे अगर्चे नाबालिग़ हो उसके बअ्द ग़ुलाम को और किसी ज़रूरत से एक ही क़ब्र में चन्द मुर्दे दफ़न करें तो तरतीब अक्स (यअ्नी उल्टी) करें यअ्नी क़िब्ले को उसे रखें जो अफ़ज़ल है जबकि सब मर्द या सब औरतें हों वरना क़िब्ले की जानिब मर्द को रखें फिर लड़के फिर ख़ुन्सा फिर औरत फिर मुराहिक़ा को। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– एक जनाज़े की नमाज़ पढ़ना शुरूअ् की थी कि दूसरा आ गया तो पहले की पूरी करें और अगर दूसरी तकबीर में दोनों की नियत कर ली जब भी पहले ही की होगी और अगर सिर्फ़ दूसरे की नियत की तो दूसरे की होगी इससे फ़ारिग़ होकर पहले की फिर पढ़े। (आलमगीरी)

मसअला :– मय्यत को बग़ैर नमाज़ पढ़े दफ़न कर दिया और मिट्टी भी दे दी गई तो अब उसकी क़ब्र पर नमाज़ पढ़ें जब तक फटने का गुमान न हो और मिट्टी न दी गयी हो तो निकालें और नमाज़ पढ़ कर दफ़न करें और क़ब्र पर नमाज़ पढ़ने में दिनों की तअ्दाद मुकर्रर नहीं कि कितने दिन तक पढ़ी जाये कि यह मौसम और ज़मीन और मय्यत के जिस्म और मरज़ के इख़्तिलाफ़ से मुख़्तलिफ़ है गर्मी में जल्द फटेगा और जाड़े में देर में, खारी ज़मीन में जल्द खुश्क होगा और जो खारी नहीं उसमें देर में, फ़रबा (मोटा) जिस्म जल्द और लाग़र (कमज़ोर)देर में (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– कुँए में गिर कर मर गया या उसके ऊपर मकान गिर पड़ा और मुर्दा निकाला न जा सका तो उसी जगह उसकी नमाज़ पढ़ें और दरिया में डूब गया और निकाला न जा सका तो उसकी नमाज़ नहीं हो सकती कि मय्यत का मुसल्ली के आगे होना मअ्लूम नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा मुतलक़न मकरूहे तहरीमी है ख़्वाह मय्यत मस्जिद के अन्दर हो या बाहर सब नमाज़ी मस्जिद में हों या बअ्ज़ कि हदीस में नमाज़े जनाज़ा मस्जिद में पढ़ने की मनाही आई है। (दुर्रे मुख़्तार)शारेए आम (आम रास्ता)और दूसरे की ज़मीन पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ाना मनअ् है। (रद्दुल मुहतार) यअ्नी जबकि मालिके ज़मीन मनअ् करता हो।

मसअला :– जुमे के दिन किसी का इन्तिक़ाल हुआ तो अगर जुमे से पहले तजहीज़ व तकफ़ीन हो सके तो पहले ही कर लें इस ख़याल से रोक रखना कि जुमे के बाद मजमा ज्यादा होगा मकरूह है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– नमाज़े मग़रिब के वक़्त जनाजा आया तो फ़र्ज़ और सुन्नत पढ़कर नमाज़े जनाज़ा पढ़ें यूहीं किसी और नमाज़ के वक़्त जनाज़ा आये और जमाअत तैयार हो तो फ़र्ज़ व सुन्नत पढ़ कर नमाज़े जनाज़ा पढ़ें बशर्ते कि नमाज़े जनाज़ा की ताख़ीर में जिस्म ख़राब होने का अन्देशा न हो। (आलमगीरी,रद्दुल)

मसअला :– ईद की नमाज़ के वक़्त जनाज़ा आया तो पहले ईद की नमाज़ पढ़ें फ़िर जनाज़ा फिर ख़ुतबा और गहन की नमाज़ के वक़्त आये तो पहले नमाज़े जनाज़ा पढ़ें फिर गहन की। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मुसलमान मर्द, या औरत का बच्चा ज़िन्दा पैदा हुआ यअ्नी अकसर हिस्सा बाहर होने के वक़्त ज़िन्दा था फिर मर गया तो उसको ग़ुस्ल व कफ़न देंगे और उसकी नमाज़ पढ़ेंगे वरना उसे वैसे ही नहलाकर एक कपड़े में लपेट कर दफ़न कर देंगे इसके लिए ग़ुस्ल व कफ़न सुन्नत तरीक़े से नहीं और नमाज़ भी उसकी नहीं पढ़ी जायेगी यहाँ तक कि सर जब बाहर हुआ था उस वक़्त चीख़ता था मगर अकसर की मिक़दार यह है कि सर की जानिब से हो तो सीना तक अक्सर है और पाँव की जानिब से हो तो क़मर तक अकसर है। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार वग़ैरहुमा)

मसअला :– बच्चे की माँ या जनाई ने ज़िन्दा पैदा होने की शहादत दी तो उसकी नमाज़ पढ़ी जायेगी मगर वुरासत के बारे में उनकी गवाही ना–मोअ्तबर है यअ्नी एअ्तिबार के क़ाबिल नहीं यअ्नी बच्चा अपने मरे हुए बाप का वारिस नहीं क़रार दिया जायेगा, न बच्चे की वारिस उसकी माँ होगी। यह उस वक़्त है कि ख़ुद बाहर निकला और अगर किसी ने हामिला के शिकम (पेट)पर ज़र्ब (मार)लगाई कि बच्चा मरा हुआ बाहर निकला तो वारिस होगा और वारिस बनायेगा। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– बच्चा ज़िन्दा पैदा हुआ या मुर्दा उसकी ख़िलक़त(बनावट)तमाम (पूरी)हो या नातमाम बहरहाल उसका नाम रखा जाये और क़ियामत के दिन उसका हश्र होगा। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– काफ़िर का बच्चा दारुलहरब में अपनी माँ या बाप के साथ या बअूद में कैद किया गया फिर वह मर गया और उसके माँ बाप में से अब तक कोई मुसलमान न हुआ तो उसे गुस्ल न देंगे न कफ़न ख़्वाह दारुलहरब ही में मरा हो या दारुलइस्लाम में और अगर तन्हा दारुलइस्लाम में उसे लायें यअ्नी उसके बाप माँ में से किसी को कैद कर के न लाये हों न वह बतौरे खुद बच्चे के लाने से पहले ज़िम्मी बनकर आये तो उसे गुस्ल व कफ़न देंगे और उसकी नमाज़ पढ़ी जायेगी अगर उसने आक़िल होकर कुफ़्र इख़्तियार न किया। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार वग़ैरहुमा)

मसअला :– काफ़िर के बच्चे को कैद किया और अभी वह दारुलहरब में था कि उसका बाप दारुलइस्लाम में आकर मुसलमान हो गया तो बच्चा मुसलमान समझा जायेगा यअ्नी अगर्चे दारुलहरब में मर जाये उसे गुस्ल व कफ़न देंगे उसकी नमाज़ पढ़ेंगे। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– बच्चे को माँ बाप के साथ कैद कर लाये और उन में से कोई मुसलमान हो गया या वह समझ दार था खुद मुसलमान हो गया तो इन दोनों सूरतों में वह मुसलमान समझा जायेगा (तनवीरुलअबसार)

मसअला :– काफ़िर के बच्चे को माँ बाप के साथ कैद किया मगर वह दोनों वहीं दारुलहरब में मर गये तो अब मुसलमान समझा जाये। मजनून बालिग़ कैद किया गया तो उसका हुक्म वही है जो बच्चे का है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मुसलमान का बच्चा काफ़िरा से पैदा हुआ और वह उसकी मन्कूहा न थी यअ्नी वह बच्चा ज़िना का है तो उसकी नमाज़ पढ़ी जाये। (रद्दुलमुहतार)

क़ब्र व दफ़न का बयान

मसअला :– मय्यत को दफ़न करना फ़र्ज़े किफ़ाया है और यह जाइज़ नहीं कि मय्यत को ज़मीन पर रख दें और चारों तरफ़ से दीवारें क़ाइम कर के बन्द कर दें। (आलमगीरी)

मसअला :– जिस जगह इन्तिक़ाल हुआ उसी जगह दफ़न न करें यह अम्बिया अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम के लिये ख़ास है बल्कि मुसलमानों के क़ब्रिस्तान में दफ़न करें मक़सद यह कि उसके लिये कोई ख़ास मदफ़न (दफ़न करने की जगह) न बनाया जाये मय्यत बालिग़ हो या नाबालिग़। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– क़ब्र की लम्बाई मय्यत के क़द के बराबर हो और चौड़ाई आधे क़द की और गहराई कम से कम निस्फ़ (आधे)क़द की और बेहतर यह है कि गहराई भी क़द बराबर हो और (मुतवस्सित दरमियानी) दर्जा यह है कि सीने तक हो (दुर्रे मुख़्तार)इससे मुराद यह कि लहद या सन्दूक़ इतना हो यह नहीं कि जहाँ से खोदनी शुरूअ् की वहाँ से आख़िर तक यह मिक़दार हो।

मसअला :– क़ब्र दो क़िस्म है लहद कि क़ब्र खोदकर उसमें क़िब्ला की तरफ़ मय्यत के रखने की जगह खोदें और सन्दूक़ वह जो हिन्दुस्तान में उमुमन राइज है। लहद सुन्नत है अगर ज़मीन इस क़ाबिल हो तो यही करें और नर्म ज़मीन हो तो सन्दूक़ में हरज नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– क़ब्र के अन्दर चटाई वग़ैरा बिछाना नाजाइज़ है कि बे–सबब माल ज़ाये करना है।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– ताबूत कि मय्यत को किसी लकड़ी वग़ैरा के सन्दूक़ में रखकर दफ़न करें यह मकरूह है मगर जब ज़रूरत हो मसलन ज़मीन बहुत तर है तो हरज नहीं और इस सूरत में ताबूत के मसारिफ़ उस में से लिये जायें जो मय्यत ने माल छोड़ा है। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– अगर ताबूत में रखकर दफ़न करें तो सुन्नत यह है कि इसमें मिट्टी बिछा दें और दाहिने बायें ख़ाम (कच्ची)ईंटें लगा दें और फिर कहगिल (गारा यानी मिट्टी का पलास्तर)कर दें ग़रज़ ऊपर का हिस्सा मिस्ले लहद के हो जाये और लोहे का ताबूत मकरूह है और क़ब्र की ज़मीन नम हो तो धूल बिछा देना सुन्नत है। (सग़ीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– क़ब्र के उस हिस्से में कि मय्यत के जिस्म से क़रीब है पक्की ईट लगाना मकरूह है कि ईंट आग से पकती है अल्लाह तआ़ला मुसलमानों को आग के असर से बचाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़ब्र में उतरने वाले दो–तीन जो मुनासिब हों कोई तअ्दाद इसमें ख़ास नहीं। बेहतर यह है कि क़वी (ताक़तवर)व नेक व अमीन हो कि कोई बात नामुनासिब देखें तो लोगों पर ज़ाहिर न करें। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जनाज़ा क़ब्र से क़िब्ला की जानिब रखना मुस्तहब है कि मुर्दा क़िब्ला की जानिब से क़ब्र में उतारा जाये यूँ नहीं कि क़ब्र की पाएंती रखें और सर की जानिब से क़ब्र में लायें।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औरत का जनाज़ा उतारने वाले महारिम हों यानी जिनसे पर्दा नहीं जैसे भाई, वालिद वग़ैरा। ये न हों तो दूसरे रिश्ते वाले,,ये भी न हों तो परहेज़गार अजनबी के उतारने में मुज़ायक़ा नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मय्यत को क़ब्र में रखने के वक़्त यह दुआ पढ़ें –

بِسْمِ اللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ وَ عَلٰی مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

तर्जमा :– " अल्लाह के नाम से और अल्लाह की मदद से और रसूलुल्लाह के दीन पर। "

और एक रिवायत में यह भी आया है।":–

وَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ के बअ्द بِسْمِ اللّٰهِ

तर्जमा :– "अल्लाह के नाम से अल्लाह के रास्ते में"। (आलमगीरी, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– मय्यत को दाहिनी करवट पर लिटायें और उस का मुँह क़िब्ले को करें अगर क़िब्ला की तरफ़ मुँह करना भूल गये तख़्ता लगाने के बअ्द याद आया तो तख़्ता हटाकर क़िब्ला–रू कर दें और मिट्टी देने के बअ्द याद आया तो नहीं। यूँही अगर बाईं करवट पर रखा या जिधर सरहाना होना चाहिए उधर पाँव किये तो अगर मिट्टी देने से पहले याद आया ठीक कर दें वरना नहीं।(आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़ब्र में रखने के बअ्द कफ़न की बन्दिश खोल दें कि अब ज़रूरत नहीं और न खोली तो हरज नहीं। (जौहरा)

मसअ्ला :– क़ब्र में रखने के बअ्द लहद को कच्ची ईटों से बन्द करें और ज़मीन नरम हो तो तख़्ते लगाना भी जाइज़ है। तख़्तों के दरमियान झिरी रह गई तो उसे ढेले वग़ैरा से बन्द कर दें सन्दूक़ का भी यही हुक्म है। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– औरत का जनाज़ा हो तो क़ब्र में उतारने से तख़्ता लगाने तक क़ब्र को कपड़ों वग़ैरा से छिपाये रखें, मर्द की क़ब्र को दफ़न करते वक़्त न छुपायें अलबत्ता अगर मेंह वग़ैरा कोई उ़ज़्र हो तो छुपाना जाइज़ है औरत का जनाज़ा भी ढका रहे। (जौहरा ,दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– तख़्ते लगाने के बअ्द मिट्टी दी जाये मुस्तहब यह है कि सरहाने की तरफ़ दोनों हाथों से तीन बार मिट्टी डालें पहली बार कहें। مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ(इसी से हम ने तुम को पैदा किया)दूसरी बार

وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى(और इसी में तुम को लौटायेंगे) तीसरी बार وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ (और इसी से तुम को दे)बाक़ी मिट्टी हाथ या खुरपी اَللّٰهُمَّ جَافِ الْاَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ(ऐ अल्लाह ज़मीन या फावड़े वग़ैरा जिस से मुमकिन हो क़ब्र में डालें दो बारा निकलेंगे)या पहली बार इस के दोनों पहलूओं से कुशादा कर)दूसरी बार اَللّٰهُمَّ افْتَحْ اَبْوَابَ السَّمَاءِ لِرُوْحِهٖ(ऐ अल्लाह इस की रूह के लिए आसमान के दरवाज़े खोलदे) और तीसरी बार اَللّٰهُمَّ زَوِّجْهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ और मय्यत औरत हो तो तीसरी बार यह اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْهَا الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ(ऐ अल्लाह अपनी रहमत से तू कहें। इस को जन्नत में दाख़िल कर और जितनी मिट्टी क़ब्र से निकली उससे ज़्यादा डालना मकरूह है।(जौहरा)

मसअ्ला :– हाथ में जो मिट्टी लगी है उसे झाड़ दें या धो डालें इख़्तियार है।

मसअ्ला :– क़ब्र चौखूटी न बनायें बल्कि उसमें ढाल रखें जैसे ऊँट का कोहान और उस पर पानी छिड़कने में हरज नहीं बल्कि बेहतर है और क़ब्र एक बालिश्त ऊँची हो या कुछ थोड़ी सी ज़्यादा।

मसअ्ला :– जहाज़ पर इन्तिक़ाल हुआ और किनारा क़रीब न हो तो ग़ुस्ल व कफ़न देकर नमाज़ पढ़कर समुन्द्र में डुबो दें। (ग़ुनिया, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– उलमा,मशाइख़ व सादात की क़ुबूर पर क़ुब्बा वग़ैरा बनाने में हरज नहीं और क़ब्र को पुख़्ता न किया जाये। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार) यअ्नी अन्दर से पुख़्ता न की जाये और अगर अन्दर ख़ाम(कच्ची)हो ऊपर से पुख़्ता तो हरज नहीं।

मसअ्ला :– अगर ज़रूरत हो तो क़ब्र पर निशान के लिए कुछ लिख सकते हैं मगर ऐसी जगह न लिखें कि बे–अदबी हो। ऐसे मक़बरे में दफ़न करना बेहतर है जहाँ सालेहीन(बुज़ुर्गों)की क़ब्रें हों(जौहरा)

मसअ्ला :– मुस्तहब यह है कि दफ़न के बअ्द क़ब्र पर सूरए बक़रा का अव्वल आख़िर पढ़ें सरहाने الٓمّٓ से مُفْلِحُوْنَ तक और पाएंती اٰمَنَ الرَّسُوْلُ से ख़त्म सूरत तक पढ़ें। (जौहरा)

मसअ्ला :– दफ़न के बअ्द क़ब्र के पास इतनी देर तक ठहरना मुस्तहब है जितनी देर में ऊँट ज़िबह करके गोश्त तक़सीम कर दिया जाये कि उनके रहने से मय्यत को उन्स (सुकून)होगा और नकीरैन(क़ब्र में सवाल करने वाले फ़रिश्ते)का जवाब देने में वहशत न होगी और इतनी देर तक तिलावते क़ुर्आन और मय्यत के लिए दुआ व इस्तिग़फ़ार करें और यह दुआ करें कि सवाले नकीरैन के जवाब में साबित क़दम रहे। (जौहरा वग़ैरा)

मसअ्ला :– एक क़ब्र में एक से ज़्यादा बिला ज़रूरत दफ़न करना जाइज़ नहीं और ज़रूरत हो तो कर सकते हैं मगर दो मय्यतों के दरमियान मिट्टी वग़ैरा से आड़ कर दें और कौन आगे हो कौन पीछे यह ऊपर ज़िक्र हो चुका। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिस शहर या गाँव वग़ैरा में इन्तिक़ाल हुआ वहीं के क़ब्रिस्तान में दफ़न करना मुस्तहब है अगर्चे वहाँ रहता न हो बल्कि जिस घर में इन्तिक़ाल हुआ उस घर वालों के क़ब्रिस्तान में दफ़न करें और दो–एक मील बाहर ले जाने में हरज नहीं कि शहर के क़ब्रिस्तान अकसर इतने फ़ासिले पर होते हैं और अगर दूसरे शहर को इसकी लाश उठा ले जायें तो अकसर उलमा ने मना फ़रमाया और यही सही है,यह उस सूरत में है कि दफ़न से पहले ले जाना चाहें और दफ़न के बाद तो मुतलक़न मना है सिवा बअ्ज़ सूरतों के जो ज़िक्र होंगी। (आलमगीरी)और यह जो बअ्ज़ लोगों

का तरीका है कि ज़मीन को सिपुर्द करते हैं फिर वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह दफ़न करते हैं नाजाइज़ है और राफ़ज़ियों का तरीका है।

मसअला :– दूसरे की ज़मीन में बिला मालिक की इजाज़त के दफ़न कर दिया तो मालिक को इख़्तियार है ख़्वाह औलियाए मय्यत से कहे कि अपना मुर्दा निकाल लो या ज़मीन बराबर कर के उस में खेती करे। यूँही अगर वह ज़मीन शुफ़आ (वह जायदाद जो पड़ोसी की बिक रही है तो उस पर पहला हक़ पड़ोसी का होता है उस ज़मीन या जायदाद को शुफ़आ कहते हैं)में ले ली गई या ग़सब किये हुए कपड़े का कफ़न दिया तो मालिक मुर्दे को निकलवा सकता है।(आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– वक़्फ़ी क़ब्रिस्तान में किसी ने क़ब्र तैयार कराई उसमें दूसरे लोग अपना मुर्दा दफ़न करना चाहते हैं और क़ब्रिस्तान में जगह है तो मकरूह है और अगर दफ़न कर दिया तो क़ब्र खुदवाने वाला मुर्दे को नहीं निकलवा सकता जो ख़र्च हुआ है ले ले। (आलमगीरी रद्दुल मुहतार)

मसअला :– औरत को किसी वारिस ने ज़ेवर समेत दफ़न कर दिया और बअ्ज़ वुरसा मौजूद न थे तो इन वुरसा को क़ब्र खोदने की इजाज़त है। किसी का कुछ माल क़ब्र में गिर गया मिट्टी देने के बअ्द याद आया तो क़ब्र खोद कर निकाल सकते हैं अगर्चे वह एक ही दिरहम हो।(आलमगीरी)

मसअला :– अपने लिए कफ़न तैयार रखे तो हरज नहीं और क़ब्र खुदवा रखना बेमाना है क्या मअ्लूम कहाँ मरेगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– क़ब्र पर बैठना, सोना ,चलना पाख़ाना–पेशाब करना हराम है। क़ब्रिस्तान में जो नया रास्ता निकाला गया उससे गुज़रना नाजाइज़ है ख़्वाह नया होना इसे मअ्लूम हो या उसका गुमान हो। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अपने किसी रिश्तेदार की क़ब्र तक जाना चाहता है मगर क़ब्रों पर गुज़रना पड़ेगा तो वहाँ तक जाना मना है दूर ही से फ़ातिहा पढ़ दे। क़ब्रिस्तान में जूतियाँ पहन कर न जाये। एक शख़्स को हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जूते पहने देखा फ़रमाया जूते उतार दे न क़ब्र वाले को तू ईज़ा (तकलीफ़)दे न वह तुझे।

मसअला :– क़ब्र पर क़ुर्आन पढ़ने के लिए हाफ़िज़ मुक़र्रर करना जाइज़ है। (दुर्रे मुख़्तार)यअ्नी जब कि पढ़ने वाले उजरत पर न पढ़ते हों कि उजरत पर क़ुर्आन मजीद पढ़ना और पढ़वाना नाजाइज़ है अगर उजरत पर पढ़वाना चाहे तो अपने काम–काज के लिए नौकर रखे फिर यह काम ले।

मसअला :– शजरा या अहदनामा क़ब्र में रखना जाइज़ है और बेहतर यह है कि मय्यत के मुँह के सामने क़िब्ले की जानिब ताक़ खोद कर उसमें रखें बल्कि दुर्रे मुख़्तार में कफ़न पर अहदनामा लिखने को जाइज़ कहा है और फ़रमाया कि इससे मग़फ़िरत की उम्मीद है और मय्यत के सीने और पेशानी पर **'बिस्मिल्लाह शरीफ़'** लिखना जाइज़ है। एक शख़्स ने इसकी वसियत की थी इन्तिक़ाल के बअ्द सीने और पेशानी पर बिस्मिल्लाह शरीफ़ लिख दी गई फिर किसी ने उन्हें ख़्वाब में देखा हाल पूछा। कहा जब मैं रखा गया अज़ाब के फ़रिश्ते आये फ़रिश्तों ने जब पेशानी पर बिस्मिल्लाह शरीफ़ देखी कहा तू अज़ाब से बच गया। (दुर्रे मुख़्तार,ग़ुनिया,तातारख़ानिया) यूँ भी हो सकता है कि पेशानी पर बिस्मिल्लाह शरीफ़ लिखें और सीने पर कलिमा तय्यबा **"लाइला–ह**

इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्ला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम" मगर नहलाने के बअ्द कफ़न पहनाने से पहले कलिमे की उंगली से लिखें रोशनाई से न लिखें। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ज़्यारते कुबूर मुस्तहब है, हर हफ़्ते में एक दिन ज़्यारत करे जुमा या जुमेरात या हफ़्ते या पीर के दिन मुनासिब है। सबमें अफ़ज़ल रोज़े जुमा वक़्ते सुबह है। औलिया किराम के मज़ाराते तय्यबा पर सफ़र करके जाना जाइज़ है, वह अपने ज़ाएरीन को नफ़ा पहुँचाते हैं और अगर वहाँ कोई मुन्किरे शरई हो मसलन औरतों से इख़्तिलात तो उसकी वजह से ज़्यारत तर्क न की जाये कि ऐसी बातों से नेक काम तर्क नहीं किया जाता बल्कि उसे बुरा जाने और मुमकिन हो तो बुरी बात ज़ाइल करे यअ्नी अगर उन ग़लत बातों को रोक सकता है तो रोक दे। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– औरतों के लिए भी बाज़ उलमा ने ज़्यारते कुबूर को जाइज़ बताया दुर्रे मुख़्तार में यही क़ौल इख़्तियार किया मगर अज़ीज़ों की क़ब्रों पर जायेंगी तो जज़ा व फ़ज़ाअ् करेंगी,लिहाज़ा मना है और सालेहीन की क़ब्रों पर बरकत के लिए जायें तो बूढ़ियों के लिए हरज नहीं और जवानों के लिए मना।(रद्दुल मुहतार)और ज़्यादा अच्छा यह है कि औरतें मुतलक़न मना की जायें कि अपनों की क़ब्रों की ज़्यारत में तो वही जज़ा व फ़ज़ा है और सालेहीन की क़ब्रों पर तअ्ज़ीम में हद से गुज़र जायेंगी या बे–अदबी करेंगी कि औरतों में यह दोनों बातें ब–कसरत पायी जाती हैं।(फ़तावा रज़विया)

मसअ्ला :– ज़्यारते क़ब्र का तरीक़ा यह है कि पाएंती की जानिब से जाकर मय्यत के मुँह के सामने खड़ा हो सरहाने से न आये कि मय्यत के लिए तकलीफ़ का सबब है यअ्नी मय्यत को गर्दन फेर कर देखना पड़ेगा कि कौन आता है और यह कहे–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَّ اِنَّا اِنْشَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ نَسْئَلُ اللّٰهَ لَنَا وَ لَكُمُ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ يَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَاخِرِيْنَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ الْاَرْوَاحِ الْفَانِيَةِ وَ الْاَجْسَادِ الْبَالِيَةِ وَ الْعِظَامِ النَّخِرَةِ اَدْخِلْ هٰذِهِ الْقُبُوْرِ مِنْكَ رَوْحًا وَّ رَيْحَانًا وَّ مِنَّا تَحِيَّةً وَّ سَلَامًا

तर्जमा :– सलाम हो तुम पर ऐ क़ौमे मोमिनीन के घर वालो! तुम हमारे अगले हो और हमइन्शाअल्लाह तुमसे मिलने वाले हैं। अल्लाह से हम अपने और तुम्हारे लिये अफ़्व व आफ़ियत का सवाल करते हैं। अल्लाह हमारे अगले और पिछलों पर रहम करे, ऐ अल्लाह! फ़ानी रूहों के और जिस्म गल जाने वाले और बोसीदा हड्डियों के रब! तू अपनी तरफ़ से इन क़ब्रों में ताज़गी और ख़ुशबू दाख़िल कर और हमारी तरफ़ से तहीय्यत व सलाम पहुँचा दे। फिर फ़ातिहा पढ़े और बैठना चाहे तो इतने फ़ासले से बैठे कि उसके पास ज़िन्दगी में नज़दीक या दूर जितने फ़ासले पर बैठ सकता था।

मसअ्ला : – क़ब्रिस्तान में जाये तो सूरए फ़ातिहा और الٓمّٓ से مُفْلِحُوْنَ तक और आयतल कुर्सी और اٰمَنَ الرَّسُوْلُ से आख़िर तक और सूरए यासीन और تَبَارَكَ الَّذِىْ और اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ एक एक बार قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ बारह या ग्यारह या सात या तीन बार पढ़े और इन सब का सवाब मुर्दों को पहुँचाये हदीस में है जो ग्यारह बार قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ पढ़ कर उसका सवाब मुर्दों को पहुँचाये तो मुर्दों की गिनती बराबर उसे सवाब मिलेगा। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– नमाज़,रोज़ा, हज ज़कात और हर क़िस्म की इबादत और हर नेक अमल फ़र्ज़ व नफ़्ल का सवाब मुर्दों को पहुँचा सकता है, उन सब को पहुँचेगा और इसके सवाब में कुछ कमी न होगी बल्कि उसकी रहमत से उम्मीद है कि सब को पूरा मिले यह नहीं कि उसी सवाब की तक़सीम होकर टुकड़ा–टुकड़ा मिले (रद्दुल मुहतार) बल्कि यह उम्मीद है कि इस सवाब पहुँचाने वाले के लिए उन सब के मजमूआ के बराबर मिले मसलन कोई नेक काम किया जिस का सवाब कम अज़ कम दस मिलेगा इसने दस मुर्दों को पहुँचाया तो हर एक को दस–दस मिलेंगे और इसको एक सौ दस और हज़ार को पहुँचाया तो इसे दस हज़ार दस इसी तरह समझ लें। (फ़तावा रज़विया)

मसअला :– क़ब्र को बोसा देना बअ्ज़ उलमा ने जाइज़ कहा है मगर सही यह है कि मना है। (अशअ़तुल लमआत)और क़ब्र का तवाफ़े तअ्ज़ीमी (यअ्नी क़ब्र के चारों तरफ़ ताज़ीमन चक्कर लगाना)मनअ् है और अगर बरकत लेने के लिए मज़ार के चारों तरफ़ फिरा तो हरज नहीं मगर अवाम मना किये जायें बल्कि अवाम के सामने किया भी न जाये कि कुछ का कुछ समझेंगे।

मसअला :– दफ़न के बाद मुर्दे को तलक़ीन करना अहले सुन्नत के नज़दीक जाइज़ है (जौहरा)यह जो अकसर किताबों में है कि तलक़ीन न की जाये यह मोअ्तज़ला (एक बदमज़हब फ़िरक़े का नाम)का मज़हब है कि उन्होंने हमारी किताबों में यह इज़ाफ़ा कर दिया (रद्दुल मुहतार)हदीस में हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जब तुम्हारा कोई मुसलमान भाई मरे और उसकी मिट्टी दे चुको तो तुम में एक शख़्स क़ब्र के सरहाने खड़े होकर कहे या फ़ुलाँ इब्ने फ़ुलाना वह सुनेगा और जवाब न देगा फिर कहो या फ़ुलाँ बिन फ़ुलाना वह सीधा होकर बैठ जायेगा फिर कहे या फ़ुलाँ बिन फ़ुलाना वह कहेगा हमें इरशाद कर अल्लाह तुझ पर रहम फ़रमाये मगर तुम्हें उसके कहने की ख़बर नहीं होती फिर कहे :–

اُذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ اَنَّكَ رَضِيْتَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَبِيًّا وَ بِالْقُرْاٰنِ اِمَامًا.

तर्जमा :– "तू उसे याद कर जिस पर तू दुनिया से निकला यअ्नी यह गवाही कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके बन्दे और रसूल हैं और यह कि तू अल्लाह के रब और इस्लाम के दीन और मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नबी और क़ुर्आन के इमाम होने पर राज़ी था।"

नकीरैन एक दूसरे का हाथ पकड़ कर कहेंगे चलो हम इसके पास क्या बैठेंगे जिसे लोग इसकी हुज्जत सिखा चुके। इस पर किसी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की अगर उसकी माँ का नाम मअ्लूम न हो। फ़रमाया हव्वा की तरफ़ निस्बत करे। इस हदीस को तबरानी ने कबीर में और ज़िया ने अहकाम में और दूसरे मुहद्दिसीन ने रिवायत किया बअ्ज़ बड़े–बड़े ताबेईन इमाम फ़रमाते हैं जब क़ब्र पर मिट्टी बराबर कर चुकें और वापस जायें तो मुस्तहब समझा जाता कि मय्यत से उसकी क़ब्र के पास खड़े होकर यह कहा जाये :–

يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قُلْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

तर्जमा :– "ऐ फ़ुलाँ इब्ने फ़ुलाँ तू कह कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं।"तीन बार कहा जाये। फिर. قُلْ رَبِّيَ اللّٰهُ وَ دِيْنِيَ الْاِسْلَامُ وَ نَبِيِّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ कहे।

तर्जमा :–"तू कह कि मेरा रब अल्लाह है और मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु

तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम हैं।"

अअ़्ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने इस पर इतना और इज़ाफ़ा किया(बढ़ाया):–

وَ اعْلَمْ اَنَّ هٰذَيْنِ الَّذَيْنَ اَتَيَاكَ اَوْ يَأْتِيَانِكَ اِنَّمَا هُمَا عَبْدَانِ لِلّٰهِ لَا يَضُرَّانِ وَ لَا يَنْفَعَانِ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ فَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ وَ اَشْهَدُ اَنَّ رَبَّكَ اللّٰهُ وَ دِيْنَكَ الْاِسْلَامُ وَ نَبِيَّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثَبَّتَنَا اللّٰهُ وَ اِيَّاكَ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

तर्जमा :– "और जान ले कि यह दो शख़्स जो तेरे पास आये या आयेंगे यह अल्लाह के बन्दे हैं बग़ैरा ख़ुदा के हुक्म के न ज़रर पहुँचायें न नफ़ा। पस न ख़ौफ़ कर और न ग़म कर तू और गवाही दे कि तेरा रब अल्लाह है और तेरा दीन इस्लाम है और तेरे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम हैं और अल्लाह हम को और तुझ को क़ौले साबित पर साबित रखे दुनिया की ज़िन्दगी में और आख़िरत में बेशक वह बख़्शने वाला मेहरबान है।"

मसअ्ला :– क़ब्र पर फूल डालना बेहतर है कि जब तक तर रहेंगे तस्बीह करेंगे और मय्यत का दिल बहलेगा (रद्दुल मुहतार)यूँही जनाज़े पर फूलों की चादर डालने में हरज नहीं।

मसअ्ला :– क़ब्र पर से तर घास नोचना न चाहिए कि उसकी तस्बीह से रहमत उतरती है और मय्यत को आराम होता है और नोचने से मय्यत का हक़ ज़ाए करना है। (रद्दुल मुहतार)

तअ़ज़ियत का बयान

मसअ्ला :– (किसी के घर मौत हो जाने पर लोग उसके घर उसे तसल्ली और दिलासा देने जाते हैं उसे तअ़ज़ियत कहते हैं)तअ़ज़ियत मसनून है हदीस में है जो अपने भाई मुसलमान की मुसीबत में तअ़ज़ियत करे क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला उसे करामत (इ़ज़्ज़त) का जोड़ा पहनायेगा। इसको इब्ने माजा ने रिवायत किया दूसरी हदीस तिर्मिज़ी व इब्ने माजा में है जो किसी मुसीबतज़दा की तअ़ज़ियत करे उसे उसी की मिस्ल सवाब मिलेगा।

मसअ्ला :– तअ़ज़ियत का वक़्त मौत से तीन दिन तक है,इसके बाद मकरूह है कि ग़म ताज़ा होगा मगर जब तअ़ज़ियत करने वाला या जिसकी तअ़ज़ियत की जाये वहाँ मौजूद न हो या मौजूद है मगर इसे इ़ल्म नहीं तो बअ़्द में हरज नहीं। (जौहरा,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– दफ़्न से पहले भी तअ़ज़ियत जाइज़ है मगर अफ़ज़ल यह है कि दफ़्न के बअ़्द हो यह उस वक़्त है कि औलियाए मय्यत जज़ाअ़् व फ़ज़ाअ़् (यअ़्नी रोना धोना,चीखना चिल्लाना) न करते हों वरना उनकी तसल्ली के लिए दफ़्न से पहले ही करें। (जौहरा)

मसअ्ला :– मुस्तहब यह है कि मय्यत के तमाम अक़ारिब(क़रीबी रिश्तेदारों)को तअ़ज़ियत करें छोटे–बड़े मर्द व औ़रत सब को मगर औ़रत को कि उसके महारिम ही तअ़ज़ियत करें। तअ़ज़ियत में यह कहें अल्लाह तआ़ला मय्यत की मग़फ़िरत और उसको अपनी रहमत में ढाँके और तुम को स़ब्र रोज़ी करे और इस मुसीबत पर सवाब अ़ता फ़रमाये। नबी स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने इन लफ़्ज़ों से तअ़ज़ियत फ़रमाई :–

لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَاَعْطٰى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِاَجَلٍ مُّسَمًّى

तर्जमा :–"ख़ुदा ही का है जो उसने लिया और दिया और उसके नज़दीक हर चीज़ एक मीआदेमुक़र्रर के साथ है।"

मसअला :– मुसीबत पर सब्र करे तो उसके दो सवाब मिलते हैं एक मुसीबत का दूसरा सब्र का और जज़ाअ़ व फ़ज़ाअ़ से दोनों जाते रहते हैं। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– पुकार,सीना पीटना वग़ैरा)करती हैं उन्हें खाना न दिया जायेगा कि गुनाह पर मदद देना है (कश्फुल अज़ा)

मसअला :– मय्यत के घर वालों को जो खाना भेजा जाता है यह खाना सिर्फ़ घर वाले खायें और उन्हीं के लाइक़ भेजा जाये ज़्यादा नहीं,औरों को वह खाना खाना मना है। (कश्फूलअ़ज़ा) और सिफ़मय्यत के अ़ज़ीज़ों का घर में बैठना कि लोग उनकी तअ़ज़ियत को आयें इसमें हरज नहीं और मकान के दरवाज़े पर या शारेए आम (यानी आम रास्ता) पर बिछौने बिछा कर बैठना बुरी बात है। (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मय्यत के पड़ोसी या दूर के रिश्तेदार अगर मय्यत के घर वालों के लिए उस दिन और रात के लिए खाना लायें तो बेहतर है और उन्हें इसरार करके खिलायें। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मय्यत के घर वाले तीजे वग़ैरा के दिन दअ़वत करें तो नाजाइज़ व बिदअ़ते क़बीहा (बुरी बिदअ़त)है कि दअ़वत तो ख़ुशी के वक़्त जाइज़ है न कि ग़म के वक़्त, और अगर फ़ुक़रा को खिलायें तो बेहतर है। (फ़तहुले क़दीर)

मसअला :– जिन लोगों से क़ुर्आन मजीद या कलिमए तय्यबा पढ़वाया उनके लिए भी खाना तैयार करना नाजाइज़ है। (रद्दुल मुहतार)यानी जबकि ठहरा लिया हो या मअ़रूफ़ (मशहूर)हो या अग़निया (मालदार) हों

मसअला :– तीजे वग़ैरा का खाना अकसर मय्यत के तर्के से किया जाता है इसमें यह लिहाज़ ज़रूरी है कि वुरसा में कोई नाबालिग़ न हो वरना सख़्त हराम है,यूँही अगर बअ़ज़ वुरसा मौजूद न हों जब भी नाजाइज़ है जबकि ग़ैर मौजूदीन से इजाज़त न ली हो और सब बालिग़ हों और सब की इजाज़त से हो या कुछ नाबालिग़ ग़ैर मौजूद हों मगर बालिग़ मौजूद अपने हिस्से से करे तो हरज नहीं। (ख़ानिया वग़ैरा)

मसअला :– तअ़ज़ियत के ए लअकसर औरतें रिश्तेदार जमाँ होती हैं और रोती पीटती नौहा(चीख़ पहले दिन खाना भेजना सुन्नत है इसके बाद मकरूह। (आलमगीरी)

मसअला :– क़ब्रिस्तान में तअ़ज़ियत करना बिदअ़त है(रद्दुल मुहतार)और दफ़न के बअ़द मय्यत के मकान पर आना और तअ़ज़ियत करके अपने–अपने घर जाना अगर इत्तिफ़ाक़न हो तो हरज नहीं और इसकी रस्म करना न चाहिये और मय्यत के मकान पर तअ़ज़ियत के लिए लोगों का मजमा करना दफ़न के पहले हो या बाद उसी वक़्त हो या किसी और वक़्त- ख़िलाफ़े औला है और करें तो गुनाह भी नहीं।

मसअला :– जो एक बार तअ़ज़ियत कर आया उसे दोबारा तअ़ज़ियत के लिए जाना मकरूह है।

सोग और नोहा का ज़िक्र

मसअ्ला :– सोग के लिए सियाह (काले)कपड़े पहनना मर्दों को नाजाइज़ है(आलमगीरी)यूँही सियाह बिल्ले लगाना कि इसमें नसारा की मुशाबहत भी है।

मसअ्ला :– मय्यत के घर वालों को तीन दिन इस लिये बैठना कि लोग आयें और तअ्ज़ियत कर जायें जाइज़ है मगर न करना बेहतर है और यह उस वक़्त है कि फ़ुरुश और दीगर आराइश न करना हो वरना नाजाइज़। (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– नौहा यअ्नी मय्यत के औसाफ़ मुबालग़े के साथ(यअ्नी बहुत बढ़ा–चढ़ा कर) बयान करके आवाज़ से रोना जिस को बैन कहते हैं बिल इजमा यअ्नी सब के नज़दीक हराम है। यूँही वावैला और हाय मुसीबत कहके चिल्लाना भी। (जौहरा,वग़ैरा)

मसअ्ला :– गिरेबान फाड़ना, मुँह नोचना ,बाल खोलना सर पर ख़ाक डालना,सीना कूटना, रान पर हाथ मारना, यह सब जहालत के काम हैं और हराम हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– आवाज़ से रोना मना है और आवाज़ बलन्द न हो तो इसकी मनाही नहीं बल्कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रते सय्यिदिना इब्राहीम रदियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात पर बुका फ़रमाया यअ्नी बग़ैर आवाज़ के रोये। (जौहरा)

इस मकाम पर बअ्ज़ अहादीस जो नोहा वग़ैरा के बारे में वारिद हैं ज़िक्र की जाती हैं कि मुसलमान ब–ग़ौर देखें और अपने यहाँ की औरतों को सुनायें कि यह बला हिन्दुस्तान की औरतों में हिन्दुओं की तक़लीद से पाई जाती है यअ्नी हिन्दुओं की नक़ल है।

हदीस न.1 :– बुख़ारी व मुस्लिम अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि फ़रमाते हैं जो मुँह पर तमाचा मारे और गिरेबान फाड़े और जहालत का पुकारना पुकारे (नौहा करे)वह हम में से नहीं।

हदीस न.2 :– सहीहैन में अबू बुरदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी और मुस्लिम के लफ़्ज़ यह हैं कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो सर मुंडाये और नौहा करे और कपड़े फाड़े मैं उससे बरी हूँ।

हदीस न.3 :– सही मुस्लिम शरीफ़ में अबू मालिक अशअ्री रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरी उम्मत में चार काम जिहालत के हैं लोग उन्हें न छोड़ेंगे 1. हसब (माल व मरतबा)पर फ़ख्र करना 2. नसब में तअ्न करना 3. सितारों से मेंह चाहना कि फुलाँ नक्षत्र के सबब पानी बरसेगा 4. नौहा करना और फ़रमाया नौहा करने वाली ने अगर मरने से पहले तौबा न की तो कियामत के दिन इस तरह खड़ी की जायेगी कि उस पर एक कुर्ता क़तरान यअ्नी चीड़ के तेल का कुर्ता होगा और एक ख़ारुश्त(एक पेड़ जो बहुत काँटेदार होता है)का।

हदीस न.4 :– सहीहैन में अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आँख के आँसू और दिल के ग़म के सबब अल्लाह तआला अज़ाब नहीं फ़रमाता और ज़बान की तरफ़ इशारा करके फ़रमाया लेकिन इसके सबब अज़ाब या रहम फ़रमाता है और घर वालों के रोने की वजह से मय्यत पर अज़ाब होता है यअ्नी जब कि उसने वसियत की हो या वहाँ रोने का रिवाज हो और मना न किया हो और अल्लाह तआला ख़ूब

जानता है,या यह मुराद है कि उन के रोने से उसे तकलीफ होती है कि दूसरी हदीस में आया ऐ अल्लाह के बन्दो! अपने मुर्दे को तकलीफ न दो जब तुम रोने लगते हो तो वह भी रोता है।

हदीस न.5 :– बुख़ारी व मुस्लिम मुग़ीरा इब्ने शोअ़बा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जिस पर नौहा किया गया क़ियामत के दिन नौहा के सबब उस पर अ़ज़ाब होगा यअ़नी उन्हीं सूरतों में।

हदीस न.6 :– सही मुस्लिम में है उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा कहती हैं जब अबू सलमा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु का इन्तिक़ाल हुआ मैंने कहा सफ़र और परदेश में इन्तिक़ाल हुआ इन पर इस तरह रोऊँगी जिसका चर्चा हो। मैंने रोने का तहय्या किया था और एक औरत भी इस इरादे से आई कि मेरी मदद करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने उस औरत से फ़रमाया जिस घर से अल्लाह तआ़ला ने शैतान को दो मरतबा निकाला तू उसमें शैतान को दाख़िल करना चाहती है। फ़रमाया मैं रोने से बाज़ आई और नहीं रोई।

हदीस न.7 :– तिर्मिज़ी अबू मूसा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो मर जाता है और रोने वाला इसकी खूबियाँ बयान कर के रोता है अल्लाह तआ़ला उस मय्यत पर दो फ़रिश्ते मुक़र्रर फ़रमाता है जो उसे कोंचते हैं और कहते हैं क्या तू ऐसा था।

हदीस न.8 :– इब्ने माजा अबू उमामा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है ऐ इब्ने आदम। अगर तू अव्वल सदमे के वक़्त सब्र करे और सवाब का तालिब हो तो तेरे लिए जन्नत के सिवा किसी सवाब पर मैं राज़ी नहीं।

हदीस न.9 :– अहमद व बैहक़ी इमाम हुसैन इब्ने अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जिस मुसलमान मर्द या औरत पर कोई मुसीबत पहुँची उसे याद कर के कहे :–

اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

तर्जमा :– "बेशक हम अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ़ लौट कर जाना है"। अगर्चे मुसीबत का ज़माना दराज़ हो गया हो तो अल्लाह तआ़ला उस पर नया सवाब अ़ता फ़रमाता है और वैसा ही सवाब देता है जैसा उस दिन कि मुसीबत पहुँची थी।

शहीद का बयान

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है :–

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ۝

तर्जमा :– "जो अल्लाह की राह में क़त्ल किये गये उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वह ज़िन्दा है मगर तुम्हें ख़बर नहीं"।

और फ़रमाता है :–

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ۝ فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ

اللّٰهِ وَ فَضْلٍ وَّ اَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

तर्जमा :– "जो लोग राहे ख़ुदा में क़त्ल किये गये उन्हें मुर्दा न गुमान कर बल्कि वह अपने रब के यहाँ ज़िन्दा हैं उन्हें रोज़ी मिलती है अल्लाह ने अपने फ़ज़्ल से जो दिया उस पर ख़ुश हैं और जो लोग बाद वाले उन से अभी न मिले उन के लिए ख़ुशख़बरी के तालिब कि उन पर न कुछ ख़ौफ़ है और न वह ग़मगीन होंगे। अल्लाह की नेअ़मत और फ़ज़्ल की ख़ुशख़बरी चाहते हैं और यह कि ईमान वालों का अज्र अल्लाह ज़ाए नहीं फ़रमाता।"

अहादीस में इसके फ़ज़ाइल ब–कसरत वारिद हैं। शहादत सिर्फ़ इसी का नाम नहीं कि जिहाद में क़त्ल किया जाये बल्कि एक हदीस में फ़रमाया कि इसके सिवा सात शहादतें और हैं। 1.जो ताऊन से मरा शहीद है 2.जो डूबकर मरा शहीद है। 3.जो जातुल जनब (निमोनिया)में मरा शहीद है। 4.जो पेट की बीमारी में मरा शहीद है। 5.जो जल कर मरा शहीद है। 6.जिसके ऊपर दीवार वग़ैरा ढह पड़ी और मर जाये शहीद है। 7.औरत कि बच्चा पैदा होने या कुँवारेपन में पर जाये शहीद है। इस हदीस को इमाम मालिक व अबू दाऊद व नसई ने जाबिर इब्ने अतीक़ रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत किया और इमाम अहमद की रिवायत जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ताऊन से भागने वाला उसकी मिस्ल है जो जिहाद से भागा और जो सब्र करे उसके लिए शहीद का अज्र है। अहमद व नसाई इरबाज़ इब्ने सारिया रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जो ताऊन में मरे उनके बारे में अल्लाह तआ़ला के दरबार में मुक़द्दमा पेश होगा, शोहदा कहेंगे. यह हमारे भाई हैं यह वैसे ही क़त्ल किये गये जैसे हम और बिछौनों पर वफ़ात पाने वाले कहेंगे यह हमारे भाई हैं यह अपने बिछौनों पर मरे जैसे हम। अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा इनके ज़ख़्म देखो अगर इन के ज़ख़्म क़त्ल होने वालों के मुशाबह हों तो यह उन्हीं में हैं और उन्हीं के साथ हैं देखेंगे तो उन के ज़ख़्म शोहदा के ज़ख़्म की तरह होंगे. शोहदा में शामिल कर दिये जायेंगे।

8. इब्ने माजा की रिवायत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से है कि इरशाद फ़रमाया मुसाफ़रत(सफ़र)की मौत शहादत है यअ़नी सफ़र में मरे तो शहीद है। इनके सिवा बहुत सूरतें हैं जिनमें शहादत का सवाब मिलता है।

इमाम जलालुद्दीन स्यूती वग़ैरा अइम्मा ने उनको ज़िक्र किया है बअ़ज़ यह हैं:– 9. सिल (दिक़ टी. बी. की तरह एक बीमारी) की बीमारी में मरा। 10. सवारी से गिर कर या मिर्गी से मरा। 11. बुख़ार में मरा। 12. माल बचाने में मरा। 13. जान बचाने में मरा। 14. अहल यअ़नी अपने बीवी, बच्चे माँ बाप वग़ैरा या रिश्तेदार को बचाने में मरा। 15. किसी हक़ के बचाने में क़त्ल किया गया। 16. इश्क़ में मरा बशर्ते कि पाक दामन हो और छुपाया हो। 17. किसी दरिन्दे ने फ़ाड़ खाया और मर गया। 18. बादशाह ने ज़ुल्मन क़ैद किया। 19. या मारा और मर गया इन सूरतों में शहीद है। 20. किसी मूज़ी जानवर के काटने से मरा। 21. इल्मे दीन की तलब में मरा। 22. मुअज़्ज़िन कि तलबे सवाब के लिए अज़ान कहता हो। 23. ताजिर रास्त–गो (सच बोलने वाला

ताजिर) जिसे समुन्दर के सफ़र में मतली और क़ै आई। 24. जो अपने बाल बच्चों के लिए सई (यअ्नी पालने की कोशिश) करे और उनमें अम्रे हुक्म इलाही क़ाइम करे और उन्हें हलाल खिलाए। 25. जो हर रोज़ पच्चीस बार पढ़े। اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِيْ فِي الْمَوْتِ وَفِيْمَا بَعْدَ الْمَوْتِ 26. जो चाश्त की नमाज़ पढ़े और हर महीने में तीन रोज़े रखे और वित्र को सफ़र व हज़र में कहीं तर्क न करे। 27. फ़सादे उम्मत के वक़्त सुन्नत पर अमल करने वाला इस के लिए सौ शहीद का सवाब है। 28. जो मरज़ में चालीस बार नीचे लिखी आयत पढ़े और उसी मरज़ में मर जाये और अच्छा हो गया तो उसकी मग़फ़िरत हो जायेगी, आयत यह है :–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ۝

तर्जमा :– कोई मअ्बूद नहीं सिवा तेरे, पाकी है तुझको, बेशक मुझसे बे–जा हुआ। 29.कुफ़्फ़ार से मुक़ाबले के लिए सरहद पर घोड़ा बाँधने वाला। 30. जो हर रात में सूरए यासीन शरीफ़ पढ़े। 31. जो ब–तहारत (पाकी की हालत में) सोया और मर गया। 32.जो नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम पर सौ बार दुरूद शरीफ़ पढ़े। 33. जो सच्चे दिल से यह सवाल करे कि अल्लाह की राह में क़त्ल किया जाऊँ। 34.जो सुबह को तीन बार नीचे लिखी दुआ पढ़कर फिर सूरए हश्र की पिछली तीन आयतें पढे तो अल्लाह तआ़ला सत्तर हज़ार फ़रिश्ते मुक़र्रर फ़रमायेगा कि उस के लिए शाम तक इस्तिग़फ़ार करें और अगर उस दिन में मरा तो शहीद मरा और जो शाम को कहे सुबह तक के लिए यही बात हैं।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ.

सूरए हश्र की आयातें ये है :–

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ۝ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ۝

मसाइले फ़िक़्हिय्या

इस्तिलाहे फ़िक़्ह में शहीद उस मुसलमान आ़क़िल,बालिग़,ताहिर को कहते हैं जो ब–तौरे ज़ुल्म किसी आलए जारेहा यअ्नी ज़ख़्मी करने वाले हथियार से क़त्ल किया गया और नफ़्से क़त्ल से माल न वाजिब हुआ हो (नफ़्से क़त्ल से माल वाजिब जब होता है जब धोके में कोई मर गया हो मसलन शिकार के लिए तीर या गोली चला रहा था और उससे कोई शख़्स मर गया तो माल वाजिब होगा जान के बदले जान न ली जायेगी) और दुनिया से नफ़ा न उठाया हो। **शहीद का हुक्म** यह है कि गुस्ल न दिया जाये वैसे ही ख़ून समेत दफ़न कर दिया जाये तो जहाँ यह हुक्म पाया जायेगा फ़ुक़हा उसे शहीद कहेंगे वरना नहीं मगर शहीदे फ़िक़्ही न होने से यह लाज़िम नहीं कि शहीद का सवाब भी न पाये सिर्फ़ इसका मतलब इतना होगा कि गुस्ल दिया जाये बस।(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– नाबालिग़ और मजनून को गुस्ल दिया जाये अगर्चे वह किसी तरह क़त्ल किये गये मगर जुनुब और हैज़ व निफ़ास वाली औरत ख़्वाह अभी हैज़ व निफ़ास में हो या ख़त्म हो गया अभी गुस्ल न किया तो इन सब को गुस्ल दिया जाये।

मसअ्ला :– हैज़ शुरूअ् हुए अभी पूरे तीन दिन न हुए थे कि क़त्ल की गई तो उसे गुस्ल न देंगे कि अब यह नहीं कह सकते कि हाइज़ा है।

मसअ्ला :– जुनुब होना यूँ मालूम होगा कि क़त्ल से पहले उसने ख़ुद बयान किया हो या उसकी

औरत ने बताया। (जौहरा)

मसअला :– आलए जारेहा वह जिस से क़त्ल करने से क़ातिल पर क़िसास वाजिब होता है। आलए जारेहा वह आला है जो अअ्ज़ा को जुदा कर दे जैसे तलवार वग़ैरा। बन्दूक़ को भी आलए जारेहा कहेंगे। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जब नफ़्से क़त्ल से क़ातिल पर क़िसास वाजिब न हो बल्कि माल वाजिब हो तो ग़ुस्ल दिया जायेगा मसलन लाठी से मारा या शिकारी शिकार के लिए मार रहा था और तीर या गोली किसी आदमी को लगा और मर गया या कोई शख़्स नंगी तलवार लिये सो गया और सोते में किसी आदमी पर वह तलवार गिर पड़ी वह मर गया या किसी शहर या गाँव में या उनके क़रीब मक़तूल पड़ा मिला और उसका क़ातिल मअ्लूम नहीं इन सब सूरतों में ग़ुस्ल देंगे और अगर मक़तूल शहर वग़ैरा में मिला और मअ्लूम है कि चोरों ने क़त्ल किया है चाहे हथियार से क़त्ल किया हो या किसी और चीज़ से तो ग़ुस्ल न दिया जायेगा अगर्चे यह मअ्लूम नहीं कि किस चोर ने क़त्ल किया। यूँही अगर जंगल में मिला और मअ्लूम नहीं कि किस ने क़त्ल किया तो ग़ुस्ल न देंगे यूँही अगर डाकूओं ने क़त्ल किया तो ग़ुस्ल न देंगे हथियार से क़त्ल किया हो या किसी और चीज़ से। (रद्दुल मुहतार वग़ैरा)

मसअला :– अगर नफ़्से क़त्ल से माल वाजिब न हुआ बल्कि वुजूबे माल किसी अम्रे ख़ारिज (अलग बात) से है यअ्नी किसी और वजह से माल वाजिब हुआ मसलन क़ातिल व मक़तूल यअ्नी क़त्ल करने वाले और क़त्ल किये हुए के औलिया में सुलह हो गई या बाप ने बेटे को मार डाला या किसी ऐसे को मारा कि उसका वारिस बेटा है मसलन अपनी औरत को मार डाला और औरत का वारिस बेटा है जो इसी शौहर से है तो क़िसास का मालिक यही लड़का होगा मगर चुँकि इस का बाप क़ातिल है क़िसास साक़ित हो गया तो इन सूरतों में ग़ुस्ल न दिया जाये।(रद्दुल मुहतार वग़ैरा)

मसअला :– अगर क़त्ल ब–तौरे ज़ुल्म न हो बल्कि क़िसास या हद्दे ताज़ीर में क़त्ल किया गया (कोड़े वग़ैरा लगने की सज़ा को हद्दे तअ्ज़ीर और ख़ून का बदला ख़ून को क़िसास कहते हैं) या दरिन्दे ने मार डाला तो ग़ुस्ल देंगे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– कोई शख़्स घायल हुआ मगर इसके बाद दुनिया से फ़ायदा हासिल किया मसलन खाया या पिया या सोया या इलाज किया अगर्चे यह चीज़ें बहुत क़लील हों या ख़ेमे में ठहरा यअ्नी वहीं जहाँ ज़ख़्मी हुआ या नमाज़ का एक वक़्त पूरा होश में गुज़रा ब–शर्ते कि नमाज़ अदा करने पर क़ादिर हो या वहाँ से उठकर दूसरी जगह को चला या लोग उसे जंग के मैदान से उठा कर दूसरी जगह ले गये ख़्वाह ज़िन्दा पहुँचा हो या रास्ते ही में इन्तिक़ाल हुआ या किसी दुनयवी बात की वसीयत की या बय़ की या कुछ ख़रीदा या बहुत सी बातें कीं तो इन सब सूरतों में ग़ुस्ल देंगे ब–शर्ते कि यह उमूर जिहाद ख़त्म होने के बाद वाक़ेअ् हो और अगर जंग ही के दरमियान में हों तो यह चीज़ें शहादत को रोकने वाली नहीं यानी ग़ुस्ल न देंगे और वसीयत अगर आख़िरत के मुतअ़ल्लिक़ हो या दो एक बात बोला अगर्चे लड़ाई के बाद तो शहीद है ग़ुस्ल न देंगे और अगर लड़ाई में नहीं क़त्ल किया गया बल्कि ज़ुल्मन तो उन चीज़ों में से अगर कोई पाई गई ग़ुस्ल देंगे वरना नहीं।(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जिसको हर्बी काफ़िर या बाग़ी या डाकू ने किसी आले से क़त्ल किया हो या उनके जानवरों ने उसे कुचल दिया अगर्चे ख़ुद यही उन के जानवर पर सवार था या खींचे लिया जाता था या उस जानवर ने अपने हाथ पाँव इस पर मारे या दाँत से काटा या इसकी सवारी को उन लोगों ने भड़का दिया उससे गिर कर मर गया या उन्होंने इस पर आग फेंकी या उनके यहाँ से

हवा आग उड़ा लाई या उन्होंने किसी लकड़ी में आग लगा दी जिस का एक किनारा इधर था और इन सूरतों में जल कर मर गया या जंग के मैदान में मरा हुआ मिला और उस पर ज़ख़्म का निशान है मसलन आँख ,कान से खून निकला है या हल्क़ से साफ़ खून निकला या उन लोगों ने शहरे पनाह (क़िले की बाउंडरी) पर से उसे फेंक दिया या उसके ऊपर दीवार ढा दी या पानी में डुबा दिया या पानी बंद था उन्होंने खोल कर उधर बहा दिया कि डूब गया या गला घोंट दिया ग़रज़ वह लोग जिस तरह भी मुसलमान को क़त्ल करें या क़त्ल के सबब बनें वह शहीद है।(आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मअ्रकए जंग (जंग के मैदान) में मुर्दा मिला और उस पर क़त्ल का कोई निशान नहीं या उसकी नाक या पाख़ाना पेशाब के मकाम से खून निकला है या हल्क़ से जमा हुआ खून निकला या दुश्मन के ख़ौफ़ से मर गया तो ग़ुस्ल दिया जाये। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अपनी जान या माल या किसी मुसलमान के बचाने में लड़ा और मारा गया वह शहीद है, यूँही पत्थर या लकड़ी या किसी चीज़ से क़त्ल किया गया हो। (आलमगीरी)

मसअला :– दो कश्तियों में मुसलमान थे दुश्मन ने एक कश्ती पर आग फेंकी यह लोग जल गये वह आग बढ़कर दूसरी कश्ती में लगी यह भी जले तो इस दूसरी कश्ती वाले भी शहीद हैं।(आलमगीरी)

मसअला :– मुश्रिक का घोड़ा छूट कर भागा और उस पर कोई सवार नहीं उसने किसी मुसलमान को कुचल दिया या मुसलमान ने काफ़िर पर तीर चलाया वह मुसलमान को लगा या काफ़िर के घोड़े से मुसलमान का घोड़ा भड़का उसने मुसलमान सवार को गिरा दिया या मआज़ल्लाह मुसलमानों ने फ़रार की यअ्नी मुसलमान भाग खड़े हुए और काफ़िरों ने गोकरू कांटेदार लोहे के दाने बिछाए थे फिर उस पर चले और मर गये इन सब सूरतों में ग़ुस्ल दिया जाये। (आलमगीरी)

मसअला :– लड़ाई में किसी मुसलमान का घोड़ा भड़का या काफ़िरों का झंडा देखकर बिदका मगर काफ़िरों ने उसे नहीं भड़काया और उसने सवार को गिरा दिया वह मर गया या मआज़ल्लाह मुसलमानों को शिकस्त हुई ,और एक मुसलमान की सवारी ने दूसरे मुसलमान को कुचल दिया ख़्वाह वह मुसलमान उस पर सवार हो या बाग पकड़ कर लिए जाता हो या पीछे से हाँकता हो या दुश्मन पर हमला किया और घोड़े से गिर कर मर गया इन सब सूरतों में ग़ुस्ल दिया जाये।(आलमगीरी)

मसअला :– दोनों फ़रीक़ (गिरोह)आमने–सामने हुए मगर लड़ाई की नौबत नहीं आई और एक शख़्स मुर्दा मिला तो जब तक यह न मअ्लूम हो कि आलए जारेहा से ज़ुल्मन क़त्ल किया गया,ग़ुस्ल दिया जाये। (आलमगीरी)

मसअला :– शहीद के बदन पर जो चीज़ें कफ़न की तरह न हों उतार ली जायें मसलन पोस्तीन, ज़िरह टोपी खूद(हैलमेट की तरह जो जंग के वक़्त सर पर लगाते हैं)हथियार,रूई का कपड़ा और अगर कफ़ने मसनून में कुछ कमी पड़े तो इज़ाफ़ा किया जाये और अगर कमी है पूरा करने को कुछ नहीं तो पोस्तीन और रूई का कपड़ा न उतारें। शहीद के सब कपड़े उतार कर नये कपड़े देना मकरूह है। (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार वग़ैरहुमा)

मसअला :– जैसे और मुर्दों को खुश्बू लगाते हैं शहीद को भी लगायें नजासत लगी हो तो धो डालें।(आलमगीरी वग़ैरा)शहीद की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाये। (आम्मए कुतुब)

मसअला :– दुश्मन पर वार किया ज़र्ब (मार)उस पर न पड़ी बल्कि खुद इस पर पड़ी और मर गया तो इन्दल्लाह (यअ्नी अल्लाह के नज़दीक) शहीद है मगर ग़ुस्ल दें और नमाज़ पढ़ें। (जौहरा)

कअ़बए मुअ़ज़्ज़मा में नमाज़ पढ़ने का बयान

सही बुख़ारी और सही मुस्लिम में है अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम और उसामा इब्ने ज़ैद, उ़स्मान इब्ने तलहा हजबी व बिलाल इब्ने रबाह रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम कअ़बए मुअ़ज़्ज़मा में दाख़िल हुए और दरवाज़ा बन्द कर लिया गया कुछ देर तक वहाँ ठहरे। जब बाहर तशरीफ़ लाये मैंने बिलाल रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से पूछा हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने क्या किया कहा एक सुतून बाईं तरफ़ किया और दो दाहिनी तरफ़ और तीन पीछे फिर नामज़ पढ़ी और उस ज़माने में बैतुल्लाह शरीफ़ के छह सुतून थे।

मसअ्ला :– कअ़बए मुअ़ज़्ज़मा के अन्दर हर नमाज़ जाइज़ है फ़र्ज़ हो या नफ़्ल तन्हा पढ़े या जमाअ़त से अगर्चे इमाम का रुख़ और तरफ़ हो और मुक़तदी का और तरफ़, मगर जबकि मुक़तदी की पुश्त इमाम के सामने हो तो मुक़तदी की नमाज़ न होगी और अगर मुक़तदी का मुँह इमाम की करवट की तरफ़ हो तो बिला कराहत जाइज़। (जौहरा, दुर्रे मुख़्तार वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– कअ़बए मुअ़ज़्ज़मा की छत पर नमाज़ पढ़ी जब भी यही सूरतें हैं मगर उसकी छत पर नमाज़ पढ़ना बल्कि चढ़ना भी मकरूह है।(तनवीरुल अबसार) मस्जिदे हराम शरीफ़ में कअ़बए मुअ़ज़्ज़मा के गिर्द जमाअ़त की और मुक़तदी कअ़बए मुअ़ज़्ज़मा के चारों तरफ़ हों जब भी जाइज़ है अगर्चे मुक़तदी ब–निस्बत इमाम के कअ़बे से क़रीब तर हों ब–शर्ते कि यह मुक़तदी जो ब–निस्बत इमाम के क़रीब तर हैं उधर न हों जिस तरफ़ इमाम हो बल्कि दूसरी तरफ़ हों और अगर उसी तरफ़ है जिस तरफ़ इमाम है और ब–निस्बत इमाम के क़रीब तर है तो उसकी नमाज़ न हुई (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– इमाम कअ़बे के अन्दर है और मुक़तदी बाहर तो इक़्तिदा सही है ख़्वाह इमाम तन्हा अन्दर हो या उसके साथ बअ़ज़ मुक़तदी भी हों मगर दरवाज़ा खुला होना चाहिए कि इमाम के रुकूअ़ व सुजूद का हाल मअ़लूम होता रहे और अगर दरवाज़ा बन्द है मगर इमाम की आवाज़ आती है जब भी हरज नहीं मगर जिस सूरत में इमाम तन्हा अन्दर हो कराहत है कि इमाम तन्हा बलंदी पर होगा और यह मकरूह है। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– इमाम बाहर हो और मुक़तदी अन्दर जब भी नजाज़ सही है ब–शर्ते कि मुक़तदी की पुश्त इमाम के सामने न हो। (रद्दुल मुहतार)

मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी
हिजरी 1431
मोबाइल न. 9219132423

बहारे शरीअ़त

पाँचवाँ हिस्सा

मुसन्निफ़
सदरूश्शरीआ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा
मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर
क़ादरी दारूल इशाअ़त
मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली–53
Mob:–9312106346

नाम किताब	बहारे शरीअ़त (पाँचवाँ हिस्सा)
मुसन्निफ़	स़दरुश्शरीअ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमह
हिन्दी तर्जमा	मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी
कम्प्यूटर कम्पोज़िंग	मौलाना मुहम्मद शफ़ीकुल हक़ रज़वी
क़ीमत जिल्द अव्वल	500/
ता़दाद	1000
इशाअ़त	2010 ई.

मिलने के पते :

1 मकतबा नईमिया ,मटिया महल, दिल्ली।
2 फ़ारूकिया बुक डिपो ,मटिया महल ,दिल्ली।
3 नाज़ बुक डिपो ,मोहम्मद अ़ली रोड़ मुम्बई
4 अलकुरआन कम्पनी ,कमानी गेट,अजमेर।
5 चिश्तिया बुक डिपो दरगाह शरीफ़ अजमेर।
7 मकतबा रहमानिया रज़विया दरगाह आ़ला हज़रत बरेली शरीफ़

फेहरिस्त

अर्ज़े मुतर्जिम

ज़ेरे नज़र किताब बहारे शरीअत उर्दू ज़बान में बहुत मशहूर व मअ्रूफ़ किताब है हिन्दी ज़बान में अभी तक फ़िक़्ही मसाइल पर इतनी ज़ख़ीम किताब मन्ज़रे आम पर नहीं आई काफ़ी अर्से से ख़्वाहिश थी कि बहारे शरीअत मुकम्मल हिन्दी में तर्जमा की जाये ताकि हिन्दी दाँ हज़रत को फ़िक़्ही मसाइल पर पढ़ने के लिए तफ़्सीली किताब दस्तयाब हो सके।

मैंने इस किताब का तर्जमा करने में ख़ालिस हिन्दी अलफ़ाज़ का इस्तेमाल नहीं किया उस की वजह यह कि आज भी हिन्दुस्तान में आम बोलचाल की ज़बान उर्दू है अगर हिन्दी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता तो किताब और ज़्यादा मुश्किल हो जाती इसी लिए किताब के मुश्किल अलफ़ाज़ को आसान उर्दू में हिन्दी लिपि में लिखा गया है।

बहारे शरीअत उर्दू में बीस हिस्से तीन या चार जिल्दों में दस्तेयाब हैं अगर इस किताब का अच्छी तरह से मुताला कर लिया जाये तो मोमिन को अपनी जिन्दगी में पेश आने वाले तक़रीबान तमाम मसाइल की जानकारी हासिल हो सकती है। इस किताब में अक़ाइद मुआमलात तहारत, नमाज़, रोज़ा ,हज, ज़कात, निकाह, तलाक़, ख़रीद ,फ़रोख़्त ,अख़लाक़,ग़रज़ कि ज़रूरत के तमाम मसाइल का बयान है।

काफ़ी अर्से से तमन्ना थी कि मुकम्मल बहारे शरीअत हिन्दी में पेश की जाये ताकि हिन्दी दाँ हज़रात इस से फ़ायादा हासिल कर सकें बहारे शरीअत की बीस हिस्सों की कम्पोजिंग मुकम्मल हो चुकी है जिस को दो जिल्दो में पेश करने का इरादा है।

कुछ मजबूरियों की वजह से दस हिस्सों की एक जिल्द पेश की जारही है कुछ ही वक़्त के बाद बाकी दस हिस्सों की दूसरी जिल्द आप के सामने होगी यह हिन्दी में फ़िक़्ही मसाइल पर सब से ज़्यादा तफ़सीली किताब होगी कोशिश यह की गई है कि ग़लतियों से पाक किताब हो और मसाइल भी न बदल पाये अभी तक मार्केट में फ़िक़्ह के बारे में पाई जाने वाली हिन्दी की अकसर किताबों में मसाइल भी बदल गये हैं और उन के अनुवादकों को इस बात का एहसास तक न हो सका यह उन के दीनी तालीम से वाक़िफ़ न होने की वजह है। मगर शौक़ उनका यह है कि दीनी किताबों को हिन्दी में लायें उनको मेरा मश्वरा यह है कि अपना यह शौक़ पूरा करने के लिए बाक़ाएदा मदर्से में दीनी तालीम हासिल करें और किसी आलिमे दीन की शागिर्दी इख़्तेयार करें ताकि हिन्दी में सही तौर पर किताबें छापने का शौक़ पूरा हो सके।

फिर भी मुझे अपनी कम इल्मी का एहसास है। क़ारेईन किताब में किसी भी तरह की ग़लती पायें तो ख़ादिम को ज़रूर इत्तेलाअ् करें ताकि अगले एडीशन में सुधार कर लिया जाये किताब को आसान करने की काफ़ी कोशिश की गई है फिर भी अगर कहीं मसअ्ला समझ में न आये तो किसी सुन्नी सहीहुल अक़ीदा आलिमे दीन से समझलें ताकि दीन का सही इल्म हासिल हो सके किताब का मुतालआ करने के दौरान उलमा से राब्ता रखें वक़्तन फ़ वक़्तन किताब में पेश आने वाले मसाइल को समझते रहें।

अल्लाह तआला की बारगाह में दुआ है कि वह अपने हबीबे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के सदक़े में इस किताब के ज़रीए क़ारेईन को भरपूर फ़ायदा अता फ़रमाये और इस तर्जमे को मक़बूल व मशहूर फ़रमाये और मुझ ख़ताकार व गुनाहगार के लिए बख़्शिश का ज़रीआ बनाये आमीन!

ख़ादिमुल उलमा

मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

30 सितम्बर सन2010

بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّیْ وَ نُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْم

ज़कात का बयान

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है: وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ یُنْفِقُوْنَ٥

तर्जमा :– "और मुत्तक़ी वह है कि हमने जो उन्हें दिया है उसमें से हमारी राह में ख़र्च करते है।"

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا

तर्जमा :– "उनके मालों में से सदक़ा लो उसकी वजह से उन्हें पाक और सुथरा बना दो।"

और अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है :– وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ٥

तर्जमा :– फ़लाह पाते वह है जो ज़कात अदा करते हैं ।

और फ़रमाता है:–

وَ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهٗ وَ هُوَ خَیْرُ الرّٰزِقِیْنَ٥

तर्जमा :– "और जो कुछ तुम ख़र्च करोगे अल्लाह तआ़ला उसकी जगह और देगा वह बेहतर रोज़ी देने वाला है।"

और फ़रमाता है :–

مَثَلُ الَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِیْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَ اللّٰهُ یُضٰعِفُ لِمَنْ یَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ ٥ اَلَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا یُتْبِعُوْنَ مَاۤ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّ لَاۤ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ٥ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّ مَغْفِرَةٌ خَیْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ یَّتْبَعُهَاۤ اَذًى ؕ وَ اللّٰهُ غَنِیٌّ حَلِیْمٌ٥

तर्जमा :– "जो लोग अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं उनकी कहावत उस दाने की है जिस से सात बालें निकलीं, हर बाल में सौ दाने और अल्लाह जिसे चाहता है ज़्यादा देता है और अल्लाह वुसअ़त वाला और बड़ा इल्म वाला है। जो लोग अल्लाह की राह में अपने माल को ख़र्च करते हैं फिर ख़र्च करने के बाद न एहसान जताते न अज़ियत देते हैं उनके लिए उनका सवाब उनके रब के हुज़ूर है और न उन पर कुछ ख़ौफ़ है और न वह ग़मगीन होंगे अच्छी बात और मग़फ़िरत उस सदक़े से बेहतर है जिस के बअ़्द अज़ियत देना हो और अल्लाह बेपरवाह हिल्म वाला है"।

और फ़रमाता है :–

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰی تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ٥ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَیْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِیْمٌ٥

तर्जमा :– "हरगिज़ नेकी हासिल न करोगे जब तक उस में से न ख़र्च करो जिसे महबूब रखते हो और जो कुछ ख़र्च करोगे अल्लाह उसे जानता है"।

और फ़रमाता है :–

لَیْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰٓىٕكَةِ

وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ج وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَ السَّائِلِيْنَ وَ فِى الرِّقَابِ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ وَ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ الْبَاْسِ ط اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ط وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ O

तर्जमा :– " नेकी इसका नाम नहीं कि मशारिक़ व मग़ारिब की तरफ़ मुँह कर दो नेकी तो उसकी है जो अल्लाह और पिछले दिन और मलाइका व किताब व अम्बिया पर ईमान लाया और माल को उसकी महब्बत पर रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफ़िर और साइलीन (मांगने वाले) को और गर्दन छुटाने में दिया और नमाज़ क़ाइम की और ज़कात दी और नेक वह लोग हैं कि जब कोई मुआ़हदा करें तो अपने अ़हद को पूरा करें और तकलीफ़ व मुसीबत और लड़ाई के वक़्त सब्र करने वाले वह लोग सच्चे हैं और वही लोग मुत्तक़ी हैं"।

और फ़रमाता है :–

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ط بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط

तर्जमा :– " जो लोग बुख़्ल (कंजूसी)करते हैं उसके साथ जो अल्लाह ने अपने फ़ज़्ल से उन्हें दिया वह यह गुमान न करें कि यह उनके लिए बेहतर है बल्कि यह उनके लिये बुरा है उस चीज़ का क़ियामत के दिन उनके गले में तौक़ डाला जायेगा जिसके साथ बुख़्ल किया"।

और फ़रमाता है :–

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍO لا يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوْبُهُمْ وَ ظُهُوْرُهُمْ ط هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَO

तर्जमा :– "जो लोग सोना और चाँदी जमा करते और उसे अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते हैं उन्हें दर्दनाक अ़ज़ाब की ख़ुशख़बरी सुना दो जिस दिन आतिशे जहन्नम में वह तपाये जायेंगे और उनसे उन की पेशानियाँ और करवटें और पीठें दाग़ी जायेंगी (और उन से कहा जायेगा)यह वही है जो तुमने अपने नफ़्स के लिए जमा किया था तो अब चखो जो जमा करते थे"। हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊ़द रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने फ़रमाया कोई रुपया दूसरे रुपये पर न रखा जायेगा न कोई अशर्फ़ी दूसरी अशर्फ़ी पर बल्कि ज़कात न देने वाले का जिस्म इतना बड़ा कर दिया जायेगा कि लाखों करोड़ों जमा किये हों तो हर रुपया जुदा दाग़ देगा"।

नीज़ ज़कात के बयान में ब–कसरत आयात वारिद हुईं जिनसे उसका मोहतम बिश्शान होना ज़ाहिर है यअ़नी जिससे ज़कात की शान की अ़ज़मत ज़ाहिर होती है। अहादीस इसके बयान में बहुत हैं बअ़ज़ उनमें से यह हैं।

हदीस न.1व 2 :– सही बुख़ारी में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जिसको अल्लाह तआ़ला माल दे और वह उसकी ज़कात अदा न करे तो क़ियामत के दिन वह माल गन्जे साँप की सूरत में कर दिया जायेगा जिसके सर पर दो चित्तियाँ होंगी वह साँप उसके गले में तौक़ बनाकर डाल दिया जायेगा फिर उसकी बाछें पकड़ेगा और कहेगा मैं तेरा माल हूँ मैं तेरा ख़ज़ाना हूँ। उसके बअ़द हुज़ूर ने इस आयत की

तिलावत की :– وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْا–

इसी के मिस्ल तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा ने अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की।

हदीस न.3 :– इमाम अहमद की रिवायत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से यूँ है जिस माल की ज़कात नहीं दी गई कियामत के दिन वह गंजा साँप होगा मालिक को दौड़ायेग। वह भागेगा यहाँ तक कि अपनी उंगलियाँ उसके मुँह में डाल देगा।

नोट :– साँप जब हज़ार बरस का होता है तो उसके सर पर बाल निकलते हैं और जब दो हज़ार बरस का होता है वह बाल गिर जाते हैं और वह गंजा हो जाता है और जो साँप जितना पुराना होता है उतना ही उसका ज़हर तेज़ होता है।

हदीस न.4 व 5 :– सही मुस्लिम शरीफ़ में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो शख़्स सोने चाँदी का मालिक हो और उसका हक़ अदा न करे तो जब कियामत का दिन होगा उसके लिए आग के पत्तर बनाये जायेंगे और उन पर जहन्नम की आग भड़काई जायेगी और उनसे उसकी करवट और पेशानी और पीठ दाग़ी जायेंगी जब ठन्डे होने पर आयेंगे फिर वैसे ही कर दिये जायेंगे। यह मामला उस दिन का है जिसकी मिक़दार पचास हज़ार बरस है यहाँ तक कि बन्दों के दरमियान फ़ैसला हो जायेगा और अब वह अपनी राह देखेगा ख़्वाह जन्नत की तरफ़ जाये या जहन्नम की तरफ़ और ऊँट के बारे में फ़रमाया जो उसका हक़ नहीं अदा करता क़यामत के दिन हमवार मैदान में लिटा दिया जायेगा और वह ऊँट सब के सब निहायत फ़रबा(मोटे) होकर आयेंगे पाँव से उसे रौंदेंगे और मुँह से काटेंगे। जब उनकी पिछली जमाअत गुज़र जायेगी पहली लौटेगी और गाय और बकरियों के बारे में फ़रमाया कि उस शख़्स को हमवार मैदान में लिटायेंगे और वह सब की सब आयेंगी न उनमें मुड़े हुए सींग की कोई होगी न बे–सींग की न टुटे सींग की और सींगो से मारेंगी और खुरों से रौंदेंगी और इसी के मिस्ल सहीहैन में ऊँट और गाय और बकरियों की ज़कात न देने में अबूज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी।

हदीस न.6 :– सही बुख़ारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद जब सिद्दीके अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु ख़लीफ़ा हुए देहात में कुछ लोग काफ़िर हो गये (कि ज़कात की फ़र्ज़ियत से इन्कार कर बैठे)सिद्दीके अकबर ने उन पर जिहाद का हुक्म दिया अमीरुल मौमिनीन फ़ारूके अअ़ज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा उनसे आप क्यूँ कर किताल (जंग)करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तो यह फ़रमाया है मुझे हुक्म है कि लोगों से लडूँ यहाँ तक कि 'लाइला–ह इल्लल्लाह'कहें और जिसने 'लाइला–ह इल्लल्लाह'कह लिया उसने अपनी जान और माल बचा लिया मगर हक़ इस्लाम में और उसका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है (यअ़नी यह लोग 'लाइला–ह इल्लल्लाह' कहने वाले हैं इन पर कैसे जिहाद किया जायेगा)सिद्दीके अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया ख़ुदा की क़सम मैं उससे जिहाद करूँगा जो नमाज़ व ज़कात में तफ़रीक़ करे (कि नमाज़ को फ़र्ज़ माने और ज़कात की फ़र्ज़ियत से इन्कार करे)ज़कात हक़्क़ुल माल है यअ़नी माल का हक़ है कि उसमें से ख़ुदा की राह में ख़र्च करे। ख़ुदा की क़सम बकरी का बच्चा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के पास हाज़िर किया करते थे अगर मुझे देने से इन्कार करेंगे तो उस पर उनसे जिहाद करूँगा।

फ़ारूके अअ्ज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं वल्लाह (ख़ुदा की क़सम)मैंने देखा कि अल्लाह तआला ने सिद्दीक़ का सोना खोल दिया है उस वक़्त मैंने भी पहचान लिया कि वही हक़ है।
हदीस न. 7 :– अबू दाऊद ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि जब यह आयते करीमा وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ नाज़िल हुई ,मुसलमानों पर शाक़ हुई (समझे कि चाँदी)सोना जमा करना हराम है तो बहुत दिक़्क़त का सामना होगा)फ़ारूके अअ्ज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा मैं तुम से मुसीबत दूर करूँगा। ख़िदमते अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुए अर्ज़ की या रसूलल्लाह ! यह आयत हुज़ूर के असहाब पर गिराँ मअ्लूम हुई फ़रमाया अल्लाह तआला ने ज़कात तो इसलिए फ़र्ज़ की कि तुम्हारे बाक़ी माल को पाक कर दे और मवारीस (यअ्नी मीरास)इस लिए फ़र्ज़ किये कि तुम्हारे बअ्द वालों के लिये हो (यअ्नी मुतलक़न माल जमा करना हराम हो तो ज़कात से माल की तहारत न होती बल्कि ज़कात किस चीज़ पर वाजिब होती और मीरास काहे में जारी होती बल्कि जमा करना हराम वह माल है कि जिसकी ज़कात न दे)इस पर फ़ारूके आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु ने तकबीर कही।
हदीस न. 8 :– बुख़ारी अपनी तारीख़ में और इमाम शाफ़िई व बज़्ज़ाज़ व बैहक़ी उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं ज़कात किसी माल में न मिलेगी मगर उसे हलाक कर देगी। बाज़ इमामों ने इस हदीस के यह मअ्ना बयान किये कि ज़कात वाजिब हुई और अदा न की और अपने माल में मिलाये रहा तो यह हराम उस हलाल को हलाक (बरबाद)कर देगा और इमाम अहमद ने यह फ़रमाया कि इस हदीस के मअ्ना यह हैं कि मालदार शख़्स माले ज़कात ले तो यह ज़कात कमाल उस के माल को हलाक कर देगा कि ज़कात तो फ़क़ीरों के लिए है और दोनों मअ्ना सही हैं।
हदीस न. 9 :– तबरानी ने औसत में फ़ारूके आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं ख़ुश्की व तरी में जो माल तलफ़ (बरबाद)होता है वह ज़कात न देने से से तलफ़ होता है।
हदीस न. 11 :– सहीहैन में अहनफ़ इब्ने क़ैस से मरवी सय्येदिना अबूज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया उनके सरे पिस्तान पर जहन्नम का गर्म पत्थर रखेंगे कि सीना तोड़ कर शाने से निकल जायेगा और शाने की हड्डी पर रखेंगे कि हड्डियाँ तोड़ता सीने से निकलेगा और सही मुस्लिम शरीफ़ में यह भी है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि पीठ तोड़ कर करवट से निकलेगा और गुद्दी तोड़ कर पेशानी से।
हदीस न. 12 :– तबरानी अमीरुल मोमिनीन अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ीर हर्गिज़ नंगे भूखे होने की तकलीफ़ न उठायेंगे मगर मालदारों के हाथों,सुन लो ,ऐसे तवंगरों (मालदारों)से अल्लाह तआला सख़्त हिसाब लेगा और उन्हें दर्दनाक अज़ाब देगा।
हदीस न. 13 :– नीज़ तबरानी अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ियामत के दिन तवंगरों के लिये मुहताजों के हाथों से ख़राबी है मुहताज अर्ज़ करेंगे हमारे हुक़ूक़ जो तूने उन पर फ़र्ज़ किये थे उन्होंने ज़ुलमन न दिये अल्लाह तआला फ़रमायेगा मुझे क़सम है अपनी इज़्ज़त व जलाल की कि तुम्हें अपना क़ुर्ब अता करूँगा और उन्हें दूर रखूँगा।

हदीस न. 14 :— इब्ने खुजैमा व इब्ने ह़ब्बान अपनी सही में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम दोज़ख़ में सब से पहले तीन शख़्स जायेंगे इन में एक वह तवंगर है कि अपने माल में अल्लाह तआ़ला का ह़क़ अदा नहीं करता।

हदीस न. 15 :— इमाम अहमद मुसनद में अ़म्मारा इब्ने ह़ज़्म रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूरे अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम ने इस्लाम में चार चीज़ें फ़र्ज़ की हैं जो इनमें से तीन अदा करे वह उसे कुछ काम न देंगी जब तक पूरी चारों न बजा लाये। नमाज़, ज़कात रोज़ा –ए–रमजरऱान, हज्जे बैतुल्लाह।

हदीस न. 16 :— त़बरानी कबीर में रावी अ़ब्दुल्ला इब्ने मसऊ़द रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु फ़रमाते हैं हमें हुक्म दिया गया कि नमाज़ पढें और ज़कात दें और जो ज़कात न दे उसकी नमाज़ क़बूल नहीं।

हदीस न. 17 :— स़ह़ीहैन व मुसनद व सुनने तिर्मिज़ी में अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी फ़रमाते हैं स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम स़दक़ा देने से माल कम नहीं होता और बन्दा किसी का क़ुसूर माफ़ करे तो अल्लाह तआ़ला उसकी इज़्ज़त ही बढ़ायेगा और जो अल्लाह के लिये तवाज़ोअ़ करे अल्लाह उसे बलन्द फ़रमायेगा।

हदीस न. 18 :— बुख़ारी व मुस्लिम उन्हीं से रावी फ़रमाते हैं स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जो शख़्स अल्लाह की राह में जोड़ा ख़र्च करे वह जन्नत के सब दरवाज़ों से बुलाया जायेगा और जन्नत के कई दरवाज़े हैं जो नमाज़ी है दरवाज़ए नमाज़ से बुलाया जायेगा जो अहले जिहाद से है दरवाज़ए जिहाद से बुलाया जायेगा जो अहले स़दक़ा से है दरवाज़ए स़दक़ा से बुलाया जायेगा जो रोज़ादार है बाबुर्रय्यान से बुलाया जायेगा। सिद्दीक़े अकबर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने अ़र्ज़ की इसकी तो कुछ ज़रूरत नहीं कि हर दरवाज़े से बुलाया जाये (यअ़नी मक़सूद जन्नत में दाख़िल होना है वह एक दरवाज़े से ह़ासिल है)मगर कोई है ऐसा जो सब दरवाज़ों से बुलाया जाये। फ़रमाया हाँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उनमें से हो।

हदीस न. 19 :— बुख़ारी व मुस्लिम व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा व इब्ने ख़ुज़ैमा अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो शख़्स खजूर बराबर ह़लाल कमाई से स़दक़ा करे और अल्लाह नहीं क़बूल फ़रमाता मगर ह़लाल को तो उसे अल्लाह तआ़ला दस्ते रास्त(यानी दस्ते क़ुदरत)से क़बूल फ़रमाता है फिर उसे उसके मालिक के लिये परवरिश करता है जैसे तुम में कोई अपने बछेरे की तर्बियत करता है यहाँ तक कि वह स़दक़ा पहाड़ बराबर हो जाता है

हदीस न. 20 व 21 :— नसई व इब्ने माजा अपनी सुनन में व इब्ने ख़ुज़ैमा व इब्ने ह़ब्बान अपनी सह़ी में और ह़ाकिम ने अबू हुरैरा व अबू सईद रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम ने ख़ुत़बा पढ़ा और यह फ़रमाया कि क़सम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है। इसको तीन बार फ़रमाया फिर सर झुका लिया तो हम सब ने सर झुका लिये और रोने लगे, यह नहीं मअ़लूम कि किस चीज़ पर क़सम ख़ाई फिर हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम ने सरे मुबारक उठा लिया और चेहरए अक़दस में ख़ुशी नुमायाँ(ज़ाहिर) थी तो हमें यह बात सुर्ख़ ऊँटों से ज़्यादा प्यारी थी और फ़रमाया जो बन्दा पाँचों नमाज़ें पढ़ता है और रमज़ान के रोज़े रखता है और ज़कात देता है और सातों कबीरा गुनाहों से

बचता है उसके लिऐं जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जायेंगे और उससे कहा जायेगा कि सलामती के साथ दाख़िल हो।

हदीस न. 22 :– इमाम अहमद अनस इब्ने मालिक रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि हुज़ूरे अक़्दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम फ़रमाते हैं अपने माल की ज़कात निकाल कि पाक करने वाली है तुझे पाक कर देगी और रिश्तेदारों से सुलूक कर और मिस्कीन और पड़ोसी और साइल(माँगने वालों)का ह़क़ पहचान।

हदीस न.23 :– त़बरानी ने औसत़ व कबीर में अबू दरदा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम ने फ़रमाया ज़कात इस्लाम का पुल है।

हदीस न.24 :– त़बरानी औसत़ में अबू हुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो मेरे लिये छः चीज़ों की किफ़ालत करे तो मैं उसके लिए जन्नत का ज़ामिन (ज़मानती) हूँ। मैंने अ़र्ज़ की वह क्या हैं या रसूलल्लाह़। फ़रमाया नमाज़ व ज़कात व अमानत व शर्मगाह व शिक़्म (पेट) व ज़बान।

हदीस न. 25 :– बज़्ज़ाज़ ने अ़लक़मा से रिवायत की कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम ने फ़रमाया तुम्हारे ईस्लाम का पूरा होना यह है कि अपने अमवाल (मालों) की ज़कात अदा करो।

हदीस न.26 :– त़बरानी ने कबीर में इब्ने उ़मर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो अल्लाह व रसूल पर ईमान लाता है वह अपने माल की ज़कात अदा करे और जो अल्लाह व रसूल पर ईमान लाता है वह ह़क़ बोले या सुकूत करे यअ़नी बुरी बात ज़बान से न निकाले और जो अल्लाह व रसूल पर ईमान लाता है वह अपने मेहमान का इकराम (इ़ज़्ज़त) करे।

हदीस न.27 :– अबू दाऊद ने ह़सन बस़री से और त़बरानी व बैहक़ी ने स़ह़ाबए किराम रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम की एक जमाअ़त से रिवायत की कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि ज़कात देकर अपने मालों को मज़बूत क़िलों में कर लो और अपने बीमारों का इलाज स़दक़े से करो और बला नाज़िल होने पर दुआ़ व तज़र्रोअ़ (गिरिया व ज़ारी) से इस्तिआ़नत करो यअ़नी मदद माँगो।

हदीस न. 28 :– इब्ने ख़ुज़ैमा अपनी स़ह़ी और त़बरानी औसत़ और ह़ाकिम मुस्तदरक में जाबिर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूरे अक़्दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जिसने अपने माल की ज़कात अदा कर दी बेशक अल्लाह तआ़ला ने उससे शर दूर फ़रमा दिया।

मसाइले फ़िक़्हिय्या

ज़कात शरीअ़त में अल्लाह के लिए माल के एक हिस्से का जो शरअ़ ने मुक़र्रर किया है मुसलमान फ़क़ीर को मालिक कर देना और वह फ़क़ीर न हाश्मी हो न हाश्मी का आज़ाद किया हुआ गुलाम और अपना नफ़ा उससे बिल्कुल जुदा कर ले यअ़नी उससे कोई मुनाफ़ा मक़सूद न हो।

मसअ्ला :– ज़कात फ़र्ज़ है इसका मुन्किर काफ़िर और न देने वाला फ़ासिक़ और क़त्ल का मुस्तहक़ और अदा में देर करने वाला गुनाहगार व मरदूदुश्शहादत है यअ़नी जिसकी गवाही नहीं मानी जायेगी।(आलमगीरी)

मसअ्ला :- मुबाह कर देने से ज़कात अदा न होगी मसलन फ़क़ीर को ज़कात की नियत से खाना

खिला दिया ज़कात अदा न हुई कि मालिकै कर देना नहीं पाया गया, हाँ अगर खाना दे दिया कि चाहे खाये या ले जाये तो अदा हो गई, यूँही ज़कात की नियत से फ़क़ीर को कपड़ा दे दिया या पहना दिया अदा हो गई। (दुर्रे मुख़्तार)
मसअला :– फ़क़ीर को ब–नियते ज़कात मकान रहने को दिया ज़कात अदा न हुई कि माल का कोई हिस्सा उसे ने दिया बल्कि मनफ़अ़त (फ़ायदे)का मालिक किया। (दुर्रे मुख़्तार)
मसअला :– मालिक करने में यह भी ज़रूरी है ऐसे को दे जो क़ब्ज़ा करना जानता हो यअ़नी ऐसा न हो कि जिसे ज़कात दी जाये वह फेंक दे या धोका खाये वरना अदा न होगी मसलन निहायत छोटा बच्चा या पागल को देना और अगर बच्चे को इतनी अ़क़्ल न हो तो उसकी तरफ़ से उसका बाप जो फ़क़ीर हो या वसी(वह शख़्स जिसे वसीयत की गई हो)या जिसकी निगरानी में है क़ब्ज़ा करे। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)
मसअला :– ज़कात वाजिब होने के लिये चन्द शर्तें हैं जो नम्बर वार आती हैं।
1.मुसलमान होना काफ़िर पर ज़कात वाजिब नहीं यअ़नी अगर कोई काफ़िर मुसलमान हुआ तो उसे यह हुक्म नहीं दिया जायेगा कि ज़मानए कुफ़्र की ज़कात अदा करे। (आम्मए कुतुब)
मसअला :– काफ़िर दारूलहरब में मुसलमान हुआ और वहीं चन्द बरस तक इक़ामत की फिर दारुलइस्लाम में आया अगर उसको मअ़लूम था कि मालदार मुसलमान पर ज़कात वाजिब है तो उस ज़माने की ज़कात वाजिब है वरना नहीं और अगर दारुलइस्लाम में मुसलमान हुआ और चन्द साल की ज़कात नहीं दी तो उसकी ज़कात वाजिब है अगर्चे कहता हो कि मुझे ज़कात की फ़र्ज़ियत का इल्म नहीं क्यूँकि दारुलइस्लाम में जहल न जानना उ़ज़्र नहीं। (आ़लमगीरी वग़ैरा)
2.बुलूग़ (बालिग़ होना) **3.अक़्ल** (अ़क्लमन्द होना)
मसअला :– नाबालिग़ पर ज़कात वाजिब नहीं और जुनून (यअ़नी पागलपन)अगर पूरे साल को घेर ले तो ज़कात वाजिब नहीं और अगर साल के अव्वल आख़िर में इफ़ाक़ा होता है अगर्चे बाक़ी ज़माना जुनून में गुज़रता है तो वाजिब है और जुनून अगर अ़सली हो यअ़नी जुनून ही की हालत में बालिग़ हुआ तो उसका साल होश आने से शुरूअ़ होगा, यूँही जुनून अगर आ़रिज़ी है यअ़नी कभी पागल होता हो कभी नहीं मगर पूरे साल को घेर लिया तो जब इफ़ाक़ा होगा उस वक़्त से साल की इब्तिदा (शुरूआत)होगी। (चूँकि ज़कात के लिए रक़म,सोना चांदी या माल पर साल गुज़रना शर्त होता है इसलिए यह देखना ज़रूरी होता है कि मालिके निसाब किस तारीख़ से हुआ)(जौहरा, आ़लमगीरी,रद्दुल मुहतार)
मसअला :– बोहरा (बहुत ज़्यादा बेवक़ूफ़)पर ज़कात वाजिब नहीं जब कि इसी हालत में पूरा साल गुज़रे और अगर कभी–कभी उसे इफ़ाक़ा भी होता है तो वाजिब है जिस पर ग़शी तारी हुई उस पर ज़कात वाजिब है अगर्चे ग़शी कामिल साल भर तक हो। (आ़लमगीरी,रद्दुल मुहतार)
4.आज़ाद होना गुलाम पर, ज़कात वाजिब नहीं अगर्चे माज़ून हो (माज़ून वह गुलाम कि जिसके मालिक ने तिजारत की इजाज़त दी हो या मुकातिब (वह गुलाम जिससे मालिक ने यह कह दिया कि तुम अगर इतनी रक़म या माल दे दो तो आज़ाद हो जाओगे) या उम्मे वलद (वह बाँदी जिससे मालिक की औलाद हो)या मुस्तसआ़ यअ़नी साझे का गुलाम जिसको एक शरीक ने आज़ाद कर दिया और चूँकि वह मालदार नहीं है इस वजह से बाक़ी शरीकों के हिस्से कमा कर पूरे करने का उसे हुक्म दिया गया। (आ़लमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– माज़ून ग़ुलाम ने जो कुछ कमाया हैं उसकी ज़कात न उस पर है न उसके मालिक पर हाँ जब मालिक को दे दिया तो अब उन बरसों की भी मालिक अदा करे जब कि ग़ुलामे माज़ून क़र्ज़ में घिरा हुआ न हो वरना उसकी कमाई पर मुतलक़न ज़कात वाजिब नहीं न मालिक के क़ब्ज़ा करने के पहले न बाद। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मुकातिब ने जो कुछ कमाया उसकी ज़कात वाजिब नहीं न उस पर न उसके मालिक पर जब मालिक को दे दे और साल ग़ुज़र जाये अब–ब–शराइते ज़कात मालिक पर वाजिब होगी और गुज़श्ता बरसों यअ्नी गुज़रे हुए बरसों की वाजिब नहीं। (रद्दुल मुहतार)

5. माल बक़द्रे निसाब उसकी मिल्क में होना :– अगर निसाब से कम है तो ज़कात वाजिब न हुई।

6. पूरे तौर पर माल का मालिक हो यअ्नी उस पर क़ाबिज़ भी हो।

मसअ्ला :– जो माल गुम गया या दरिया में गिर गया या किसी ने ग़सब कर लिया और इसके पास ग़सब के गवाह न हों या जंगल में दफ़न कर दिया था और यह याद न रहा कि कहाँ दफ़न किया था या अन्जान के पास अमानत रखी थी और यह याद न रहा कि वह कौन है या मदयून (क़र्ज़दार)ने दैन (क़र्ज़) से इन्कार कर दिया और इसके पास गवाह नहीं फिर यह अमवाल (माल)मिल गये तो जब तक न मिले थे उस ज़माने की ज़कात वाजिब नहीं। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर दैन ऐसे पर है जो उसका इक़रार करता है मगर अदा में देर करता है या नादार (बहुत ग़रीब)है या क़ाज़ी के यहाँ उसके मुफ़लिस (बहुत ग़रीब) होने का हुक्म हो चुका या वह इन्कार करता है मगर इसके पास गवाह मौजूद हैं तो जब माल मिलेगा तो गुज़रे हुए साल की भी ज़कात वाजिब है। (तनवीर)

मसअ्ला :– चराई का जानवर अगर किसी ने ग़सब किया अगर्चे वह इक़रार करता हो तो मिलने के बाद भी उस ज़माने की ज़कात वाजिब नहीं। (ख़ानिया)

मसअ्ला :– ग़सब किये हुए की ज़कात ग़ासिब (ग़सब करने वाले)पर वाजिब नहीं कि यह उसका माल ही नहीं बल्कि ग़ासिब पर यह वाजिब है कि जिस का माल है उसे वापस दे और अगर ग़ासिब ने उस माल को अपने माल में मिला दिया कि तमीज़ नामुमकिन हो और उसका अपना माल बक़द्रे निसाब है तो मजमुआ (यअ्नी कुल)पर ज़कात वाजिब है। (रद्दुल मुहतार) नोट : बक़द्रे निसाब का मतलब यह है कि इतना पैसा या सोना चाँदी या माल होना जिससे ज़कात फ़र्ज़ हो।

मसअ्ला :– एक ने दूसरे के मसलन हज़ार रुपये ग़सब कर लिए फिर वही रुपये उससे किसी और ने ग़सब करके ख़र्च कर डाले और इन दोनों ग़ासिबों के पास हज़ार–हज़ार रूपये अपनी मिल्क के हैं ग़ासिबे अव्वल पर ज़कात वाजिब है दूसरे पर नहीं (आलम गीरी)

नोट :– हज़ार–हज़ार रुपयें होने का मतलब यह है ग़ासिबे अव्वल की अपनी रक़म और ग़सब की हुई रक़म दोनों मिलाकर अगर बक़द्रे निसाब होती हैं तो ग़ासिबे अव्वल पर ज़कात वाजिब है दूसरे ग़ासिब पर इस लिए वाजिब नहीं होगी क्यों कि ग़सब की हुई रक़म दूसरे ग़ासिब के माल में शामिल नहीं की जायेगी शामिल न करने की सूरत में उसकी रक़म निसाब की मिक़दार को नहीं पहुँचती हज़ार रूपये की क़ैद इस ज़माने में ठीक नहीं है क्यों कि सिर्फ़ दो हज़ार रूपये के मालिक पर ज़कात वाजिब नहीं जिस वक़्त उर्दू बहारे शरीअ़ तस्नीफ़ की गई होगी उस वक़्त दो हज़ार की रक़म निसाब को पहुँचती होगी। (क़ादरी)

मसअला :– शयए मरहून (गिरवीं रखी हुई चीज़)की ज़कात न मुरतहिन (जिस के पास गिरवीं रखी गयी) पर है न राहिंन (गिरवी रखने वाले)पर। मुरतहिन तो मालिक ही नहीं और राहिन की मिल्के ताम (यानी पूरा क़ब्ज़ा) नहीं कि उसके क़ब्ज़े में नहीं और रहन छुड़ाने के बाद भी इन बरसों की ज़कात वाजिब नहीं। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– जो माल तिजारत के लिए ख़रीदा और साल भर तक उस पर क़ब्ज़ा न किया तो क़ब्ज़े से पहले मुश्तरी (ख़रीदार) पर ज़कात वाजिब नहीं और क़ब्ज़े के बअ्द उस साल की भी ज़कात वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

निसाब का दैन से फ़ारिग़ होना ।

मसअला :– निसाब का मालिक है मगर उस पर दैन है कि अदा करने के बाद निसाब नहीं रहती तो ज़कात वाजिब नहीं ख़्वाह वह दैन बन्दे का हो जैसे क़र्ज़ ज़रे समन (क़ीमत में देने वाला रुपया या सामान)किसी चीज़ का तावान या अल्लाह तआला का दैन हो जैसे ज़काते ख़िराज मसलन कोई शख़्स सिर्फ़ एक निसाब का मालिक है और दो साल गुज़र गये कि ज़कात नहीं दी तो सिर्फ़ पहले साल की ज़कात वाजिब है दूसरे साल की नहीं कि पहले साल की ज़कात इस पर दैन है इसके निकालने के बअ्द निसाब बाक़ी नहीं रहती, लिहाज़ा दूसरे साल की ज़कात वाजिब नहीं। यूँ ही अगर तीन साल गुज़र गये मगर तीसरे में एक साल की बाक़ी थी कि पाँच दिरहम और हासिल हुये जब भी पहले ही साल की ज़कात वाजिब है कि दूसरे और तीसरे साल में ज़कात निकालने के बअ्द निसाब बाक़ी नहीं, हाँ जिस दिन कि वह पाँच दिरहम हासिल हुए उस दिन से एक साल तक अगर निसाब बाक़ी रह जाये तो अब इस साल के पूरे होने पर ज़कात न दी फिर सारे माल को हलाक कर दिया फ़िर और माल हासिल किया कि यह बक़द्रे निसाब है मगर साले अव्वल की ज़कात जो इसके ज़िम्मे दैन है उसमें से निकालें तो निसाब बाक़ी नहीं रहती तो इस नये साल की ज़कात वाजिब नहीं और अगर उस पहले माल को इसने क़स्दन(जानबुझ कर)हलाक न किया बल्कि बिला क़स्द हलाक हो गया तो उसकी ज़कात जाती रही। लिहाज़ा उसकी ज़कात दैन नहीं तो उस सूरत में इस नये साल की ज़कात वाजिब है। (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अगर ख़ुद मदयून (क़र्ज़दार)नहीं मगर मदयून का कफ़ील(ज़मानती)है और कफ़ालत यानी अगर ज़ैद रुपया नहीं देगा तो मैं ज़िम्मेदार हूँ जिसे ज़मानत में लेना कहते हैं तो ज़मानत के रुपये निकालने के बाद निसाब बाक़ी नहीं रहती ज़कात वाजिब नहीं मसलन ज़ैद के पास हज़ार रुयये हैं और अम्र ने किसी से हज़ार क़र्ज़ लिये और ज़ैद ने उसकी कफ़ालत की तो ज़ैद पर इस सूरत में ज़कात वाजिब नहीं कि ज़ैद के पास अगर्चे रुपये हैं मगर अम्र के क़र्ज़ में मुस्तग़रक (घिरे हुए)हैं कि क़र्ज़ख़्वाह को इख़्तियार है ज़ैद से मुतालबा करे और रुपये न मिलने पर यह इख़्तियार है कि ज़ैद को क़ैद करा दे तो यह रुपये दैन में मुसतग़रक हैं। लिहाज़ा ज़कात वाजिब नहीं और अगर अम्र की दस शख़्सों ने कफ़ालत की और सब के पास हज़ार–हज़ार रुएये हैं जब भी उनमें से किसी पर ज़कात वाजिब नहीं कि क़र्ज़ख़्वाह हर एक से मुतालबा कर सकता है और न मिलने की सूरत में जिस को चाहे क़ैद करा दे। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जो दैन मिआ़दी हो वह मज़हबे सही में वुजूबे ज़कात का मानेअ् नहीं यअ्नी ऐसा दैन होने पर ज़कात वाजिब रहती है (रद्दुल मुहतार) चूँकि आदतन दैन महर का मुतालबा नहीं होता

लिहाज़ा अगर्चे शौहर के ज़िम्मे कितना ही दैन महर हो जब वह मालिके निसाब है ज़कात वाजिब है दैन महर माल में से कम नहीं किया जायेगा।(आलमगीरी)खुसूसन महरे मुअख़्ख़र जो आम तौर पर यहाँ राइज है जिस की अदा की कोई मीआद (वक़्त)मुअय्यन नहीं होती उसके मुतालबे का तो औरत को इख़्तियार ही नहीं जब तक मौत या तलाक़ वाक़ेअ़ न हो।

मसअला :– औरत का नफ़्क़ा शौहर पर दैन नहीं क़रार दिया जायेगा जब तक क़ाज़ी ने हुक्म न दिया हो या दोनों ने बाहम किसी मिक़दार पर तसफ़िया न कर लिया हो यअ़नी कोई मिक़दार तय न की हो औरत के अलावा किसी रिश्तेदार का नफ़्क़ा उस वक़्त दैन है जब एक महीने से कम ज़माना गुज़रा हो या उस रिश्तादार ने क़ाज़ी के हुक्म से क़र्ज़ लिया और अगर यह दोनों बातें नहीं तो साक़ित है और मानेए ज़कात नहीं यअ़नी ज़कात देनी होगी। (आलमगीरी रद्दुल मुहतार)

मसअला :– दैन उस वक़्त मानेए ज़कात (ज़कात को रोकने वाला)है जब ज़कात वाजिब होने से पहले का हो और अगर निसाब पर साल गुज़रने के बाद हुआ तो ज़कात पर इस दैन का कुछ असर नहीं। (रद्दुल मुहतार वग़ैरा)

मसअला :– जिस दैन का मुतालबा बन्दों की तरफ़ से न हो उस का इस जगह एअ़तिबार नहीं यअ़नी वह मानेए ज़कात नहीं मसलन नज़्र व कफ़्फ़ारा व सदक़ए फ़ित्र व हज व क़ुर्बानी कि अगर इनके मसारिफ़(ख़र्च) निसाब से निकालें तो अगर्चे निसाब बाक़ी न रहे ज़कात वाजिब है उश्र व ख़िराज वाजिब होने के लिये दैन मानेअ़ नहीं यअ़नी अगर्चे मदयून (क़र्ज़दार) हो यह चीज़ें उस पर वाजिब हो जायेंगी। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार वग़ैरहुमा)

मसअला :– जो दैन असनाए साल (साल के दरमियान) में आरिज़ हुआ यअ़नी शुरूअ़ साल में मदयून न था फिर मदयून हो गया फिर साले तमाम पर अलावा दैन के निसाब का मालिक हो गया तो ज़कात वाजिब हो गई। इस की सूरत यह है कि फ़र्ज़ करो क़र्ज़ख़्वाह ने क़र्ज़ माफ़ कर दिया तो अब चूँकि इसके ज़िम्मे दैन न रहा और साल भी पूरा हो चुका है। लिहाज़ा वाजिब है कि अभी ज़कात दे यह नहीं कि अब से एक साल गुज़रने पर ज़कात वाजिब होगी और अगर शुरूअ़ साल से मदयून था और साल ख़त्म होने पर माफ़ किया तो अभी ज़कात वाजिब न होगी बल्कि अब से साल गुज़रने पर। (रद्दुल मुहतार वग़ैरा)

मसअला :– एक शख़्स मदयून है और चन्द निसाब का मालिक है कि हर एक से दैन अदा हो जाता है मसलन उसके पास रुपये अशर्फ़ियाँ भी हैं, तिजारत के असबाब भी, चराई के जानवर भी तो रुपये अशर्फ़ियाँ दैन के मुक़ाबिल समझे और चीज़ों की ज़कात दे और अगर रुपये अशर्फ़ियाँ न हों और चराई के जानवरों की चन्द निसाबें हों मसलन चालीस बकरियाँ हैं और तीस गायें और पाँच ऊँट तो जिसकी ज़कात में उसे आसानी हो उस की ज़कात दे और दूसरे को दैन में समझे तो इस सूरते मज़कूरा में अगर बकरियों या ऊँटों की ज़कात देगा तो एक बकरी देनी होगी और गाय की ज़कात में साल भर का बछड़ा और ज़ाहिर है कि एक बकरी देना बछड़ा देने से आसान है। लिहाज़ा बकरी दे सकता है और अगर बराबर हों तो उसे इख़्तियार है मसलन पाँच ऊँट हैं और चालीस बकरियाँ दोनों की ज़कात एक बकरी है उसे इख़्तियार है जिसे चाहे दैन के लिये समझे और जिसको चाहे ज़कात दे और यह सब तफ़सील उस वक़्त है कि बादशाह की तरफ़ से कोई ज़कात वुसूल करने वाला आये वरना अगर बतौरे ख़ुद देना चाहता है तो हर सूरत में इख़्तियार है। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– इस पर हज़ार रुपये क़र्ज़ हैं और इसके पास हज़ार रुपये हैं और एक मकान और ख़िदमत के लिये एक गुलाम तो ज़कात वाजिब नहीं अगर्चे मकान व गुलाम दस हज़ार की क़ीमत के हों कि यह चीज़ें हाजते असलिया से हैं और जब रुपये मौजूद हैं तो क़र्ज़ के लिये रुपये क़रार दिये जायेंगे न कि मकान व गुलाम। (आलमगीरी)

8. निसाब हाजते अस्लिया से फ़ारिग़ हो

मसअ्ला :– हाजते अस्लिया यअ्नी जिसकी तरफ़ ज़िन्दगी बसर करने में आदमी को ज़रूरत है उस में ज़कात वाजिब नहीं जैसे रहने का मकान जाड़े गर्मियों में पहनने के कपड़े ख़ानादारी के सामान सवारी के जानवर ख़िदमत के लिए लौंड़ी गुलाम आलाते हरब यअ्नी लड़ाई के लिए हथियार पेशावरों के औज़ार अहले इल्म के लिए हाजत की किताबें खाने के लिए ग़ल्ला।(हिदाया आलमगीरी)

मसअ्ला :– ऐसी चीज़ ख़रीदी जिस से कोई काम करेगा और काम में उस का असर बाक़ी रहेगा जैसे चमड़ा पकाने के लिए माजू(एक क़िस्म की घास)और तेल वग़ैरा अगर इस पर साल गुजर गया ज़कात वाजिब है यूँही रंगरेज ने उजरत पर कपड़ा रंगने के लिये कूसुम जअ्फ़रान ख़रीदा तो अगर बक़द्रे निसाब है और साल गुज़र गया ज़कात वाजिब है, पुड़िया वग़ैरा रंग का भी यही हुक्म है और अगर वह ऐसी चीज़ है जिसका असर बाक़ी नहीं रहेगा जैसे साबुन तो अगर्चे बक़द्रे निसाब हो और साल गुज़र जाये ज़कात वाजिब नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– इत्र फ़रोश ने इत्र बेचने के लिए शीशियाँ ख़रीदीं उन पर ज़कात वाजिब है।(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ख़र्च के लिए रुपये के पैसे लिये तो यह भी हाजते अस्लिया में हैं। हाजते अस्लिया में ख़र्च करने के रुपये रखे हैं तो साल में जो कुछ ख़र्च किया किया और जो बाक़ी रहे अगर बक़द्रे निसाब हैं तो इनकी ज़कात वाजिब है अगर्चे इसी नियत से रखे हैं कि आइन्दा हाजते अस्लिया ही में ख़र्च होंगे और अगर साल पूरा होने के वक़्त हाजते अस्लिया करने की ज़रूरत है तो ज़कात वाजिब नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अहले इल्म के लिए किताबें हाजते अस्लिया से हैं और ग़ैरे अहल के भी पास हों जब भी किताबों की ज़कात वाजिब नहीं जबकि तिजारत के लिए न हों। फ़र्क़ इतना है कि अहले इल्म के पास इन किताबों के अलावा अगर माल बक़द्रे निसाब न हो तो ज़कात लेना भी जाइज़ है और ग़ैरे अहल के लिये नाजाइज़ जबकि दो सौ दिरहम क़ीमत की हों। अहल वह हैं जिसे पढ़ने पढ़ाने या तसहीह (सही करने) के लिए उन किताबों की ज़रूरत हो। किताब से मुराद मज़हबी किताबें फ़िक़्ह व तफ़सीर व हदीस हैं अगर एक किताब के चन्द नुस्ख़े हों तो एक से ज़ाइद जितने नुस्ख़े हों अगर दो सौ दिरहम की क़ीमत के हों तो इस अहल को भी ज़कात लेना नाजाइज़ है ख़्वाह एक ही किताब के ज़ाइद नुस्ख़े इस क़ीमत के हों या मुतअ़द्दिद किताबों के ज़ाइद नुस्ख़े मिलकर इस क़ीमत के हों। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– हाफ़िज़ के लिए क़ुर्आन मजीद हाजते अस्लिया से नहीं और ग़ैरे हाफ़िज़ के लिए एक से ज़्यादा हाजते अस्लिया के अलावा है। यअ्नी अगर मुस्हफ़ शरीफ़ दो सौ दिरहम क़ीमत का हो तो ज़कात लेना जाइज़ नहीं। (जौहरा, रद्दुल मुहतार)तबीब(हकीम या डाक्टर)के लिए तिब की किताबें हाजते अस्लिया में हैं जबकि मुताले में रखता हो यअ्नी पढ़ने में आती हों या उसे देखने की

ज़रूरत पड़े। नह्व व सर्फ़ व नुजूम और उसूले फ़िक़्ह व इल्मे कलाम व अख़लाक़ की किताबें जैसे इहयाउल उलूम, कीमियाए सआदत वग़ैरहुमा हाजते असलिया से हैं। (रद्दुलमुहतार)

मसअला :– कुफ़्फ़ार और बदमज़हबों के रद और अहले सुन्नत की ताईद में जो किताबें हैं वह हाजते असलिया से हैं। यूँही आलिम अगर बदमज़हब वग़ैरा की किताबें इसलिए रखे कि उनका रद करेगा तो यह भी हाजते असलिया में हैं और ग़ैरे आलिम को तो इनका देखना ही जाइज़ नहीं।

9. माले नामी होना यअ्नी बढ़ने वाला ख़्वाह हक़ीक़तन बढ़े या हुक्मन यअ्नी अगर बढ़ाना चाहे तो बढ़ाये यअ्नी उसके या उसके नाइब के क़ब्ज़े में हो। हर एक की दो सूरतें हैं। वह माल इसी लिये पैदा ही किया गया हो इसे ख़िल्क़ी कहते हैं जैसे सोना चाँदी कि यह इसी लिये पैदा हुए हैं कि इनसे चीज़ें ख़रीदी जायें या इसलिए तो पैदा नहीं की गई मगर उस से यह भी हासिल होता है इसे फ़ेअ्ली कहते हैं सोने चाँदी के अलावा सब चीज़ें फ़ेअ्ली हैं कि तिजारत से सब में नुमू (बढ़ोतरी) होगी सोने चाँदी में मुतलक़न ज़कात उस वक़्त वाजिब है जब कि बक़द्रे नियत हों अगर्चे दफ़्न कर के रखे हों तिजारत करे या न करे और इन के अलावा बाक़ी चीजों पर ज़कात उस वक़्त वाजिब है कि तिजारत की नियत हो या चराई पर छूटे जानवरो में। खुलासा यह कि ज़कात तीन क़िस्म के माल पर है 1–समन यअ्नी सोना चाँदी, 2–माले तिजारत 3–साइमा यअ्नी चराई पर छूटे जानवर।(आम्मए कुतुब)

मसअला :– नियते तिजारत कभी सराहतन होती है कभी दलालतन, सराहतन यह कि अक़्द (ख़रीद फ़रोख़्त)के वक़्त ही तिजारत की नियत कर ली ख़्वाह वह अक़्दे ख़रीदारी हो या इजारह (यअ्नी ठेके पर) समन (क़ीमत) रूपया अशर्फ़ी हो या असबाब (सामान) में से कोई चीज़। दलालतन की सूरत यह है कि माले तिजारत के बदले कोई चीज़ ख़रीदी या मकान जो तिजारत के लिए है उसको किसी असबाब के बदले किराये पर दिया तो यह असबाब और वह ख़रीदी हुई चीज़ तिजारत के लिये हैं अगर्चे सराहतन तिजारत की नियत न की यूँही अगर किसी से कोई चीज़ तिजारत के लिए क़र्ज़ ली तो यह भी तिजारत के लिये है मसलन दो सौ दिरहम का मालिक है और मन भर गेहूँ क़र्ज़ लिये तो अगर तिजारत के लिए नहीं लिए तो ज़कात वाजिब नहीं कि गेहूँ के दाम उन्हीं दो सौ से मुजरा किये जायेंगे तो निसाब बाक़ी न रही और अगर तिजारत के लिए लिये तो ज़कात वाजिब होगी कि इन गेहूँओं की क़ीमत दो सौ पर इज़ाफ़ा करें और मजमूआ से यअ्नी सब से क़र्ज़ मुजरा करें (घटा दें) तो दो सौ सालिम रहे यअ्नी बाक़ी रहे लिहाज़ा ज़कात वाजिब हुई।(आलमगीरी)

मसअला :– जिस अक़्द में तबादला (अदल–बदल)ही न हो जैसे हिबा, वसीयत सदक़ा या तबादला हो मगर माल से तबादला न हो जैसे महर, बदले अत्क़ (ग़ुलाम का रुपया अदा करके आज़ाद हो जाना)इन दोनों क़िस्म के अक़्द के ज़रीए से अगर किसी चीज़ का मालिक हुआ तो उसमें नियते तिजारत सही नहीं यअ्नी अगर्चे तिजारत की नियत करे ज़कात वाजिब नहीं। यूँ ही अगर ऐसी चीज़ मीरास में मिली तो उसमें भी नियते तिजारत सही नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– मूरिस (वह मरने वाला जो माल और वारिस छोड़ जाये)के पास तिजारत का माल था उसके मरने के बाद वारिसों ने तिजारत की नियत की तो ज़कात वाजिब है। यूँ हीं चराई के जानवर विरासत में मिले ज़कात वाजिब है चराई पर रखना चाहते हों या नहीं।(आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– नियते तिजारत के लिए यह शर्त है कि अक़्द के वक़्त नियत हो अगर्चे दलालतन तो अगर अक़्द के बाद नियत की। ज़कात वाजिब न हुई। यूँ ही अगर रखने के लिये कोई चीज़ ली और यह नियत की कि नफ़ा मिलेगा तो बेच डालूँगा तो ज़कात वाजिब नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– तिजारत के लिए ग़ुलाम ख़रीदा था फिर ख़िदमत लेने की नियत कर ली फिर तिजारत की नियत की तो तिजारत का न होगा जब तक ऐसी चीज़ के बदले न बेचे जिसमें ज़कात वाजिब होती है। (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मोती और जवाहिर पर ज़कात वाजिब नहीं अगर्चे हज़ारों के हों, हाँ अगर तिजारत की नियत से लिये तो वाजिब हो गई (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– ज़मीन से जो पैदावर हुई उसमें नियते तिजारत से ज़कात वाजिब नहीं, ज़मीन उ़श्री हो या ख़िराजी, उसकी मिल्क हो या आ़रियत (उधार के तौर पर) या किराये पर ली हो, हाँ अगर ज़मीन ख़िराजी हो और आ़रियत या किराये पर ली और बीज वह डाले जो तिजारत के लिए थे तो पैदावर में तिजारत की नियत सही है। (रद्दुल मुह़तार)

मसअला :– मुज़ारिब (साझेदार) माले मुज़ारबत (साझेदारी) से जो कुछ ख़रीदे अगर्चे तिजारत की नियत न हो अगर्चे अपने ख़र्च करने के लिए ख़रीदे उस पर ज़कात वाजिब है यहाँ तक कि अगर माले मुज़ारबत से ग़ुलाम ख़रीदे फिर उनके पहनने को कपड़ा और खाने के लिये ग़ल्ला वग़ैरा ख़रीदा तो यह सब कुछ तिजारत ही के लिए हैं और सब की ज़कात वाजिब। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

10. साल गुज़रना साल से मुराद क़मरी साल है यअ़नी चाँद के महीनों से बारह महीने, शुरूअ़ साल और आख़िर साल में निसाब कामिल है मगर दरमियान में निसाब की कमी हो गयी तो यह कमी कुछ असर नहीं रखती यअ़नी ज़कात वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअला :– माले तिजारत या सोने चाँदी को दरमियाने साल में अपनी जिन्स या ग़ैरे जिन्स से बदल लिया तो इसकी वजह से साल गुज़रने में नुक़सान न आया और अगर चराई के जानवर बदल लिये तो साल कट गया यअ़नी साल अब उस दिन से शुमार करेंगे जिस दिन से बदला है। (आलमगीरी)

नोट :– सोना चाँदी तो मुतलक़न यहाँ एक ही जिन्स यअ़नी एक ही क़िस्म के हैं। यूँ ही इनके ज़ेवर बर्तन वग़ैरा सामान बल्कि माले तिजारत भी उन्हीं की जिन्स से शुमार होगा अगर्चे किसी क़िस्म का हो कि उसकी ज़कात भी चाँदी सोने से क़ीमत लगाकर दी जाती है।

मसअला :– जो शख़्स मालिके निसाब है अगर दरमियाने साल में कुछ और माल उसी जिन्स का हासिल किया तो इस नये माल का जुदा साल नहीं बल्कि पहले माल का ख़त्म साल इसके लिये भी साले तमाम है यानी पूरा साल है अगर्चे साल पूरा होने से एक ही मिनट पहले हासिल किया हो ख़्वाह वह माल इसके पहले माल से हासिल हुआ या मीरास व हिबा या और किसी जाइज़ ज़रिए से मिला हो और अगर दूसरी जिन्स का है मसलन पहले उसके पास ऊँट थे और अब बकरियाँ मिली तो इसके लिये नया साल शुमार होगा। (जौहरा)

मसअला :– मालिके निसाब को दरमियाने साल में कुछ माल हासिल हुआ और इसके पास दो निसाबें हैं और दोनों का जुदा–जुदा साल है तो जो माल दरमियाने साल में हासिल हुआ इसे उसके साथ मिलाये जिसकी ज़कात पहले वाजिब हो मसलन उस के पास एक हज़ार रूपये हैं और साइमा की क़ीमत जिस की ज़कात दे चुका था कि दोनों मिलाये नहीं जायेंगे अब दरमियाने साल में एक

हज़ार रुपये और हासिल किये तो इनका साले तमाम यअ़्नी इनका साल उस वक़्त पूरा माना जायेगा जो उन दोनों में पहले का हो। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– उसके पास चराई के जानवर थे और साले तमाम पर उनकी ज़कात दी फिर उन्हें रूपयों से बेच डाला और उसके पास पहले से भी बक़द्रे निसाब रुपये हैं जिन पर आधा साल गुज़रा हो तो यह रुपये उन रुपयों के साथ मिलाये नहीं जायेंगे बल्कि उनके लिए उस वक़्त से नया साल शुरूअ् होगा यह उस वक़्त है कि यह समन (क़ीमत)के रुपये बक़द्रे निसाब हों वरना बिलइजमा यअ़्नी सभी उ़लमा के नज़दीक यह हुक्म है कि उन्हीं के साथ मिलायें यअ़्नी उनकी ज़कात उन्हीं रुपयों के साथ दी जाये जो रुपये पहले निसाब वाले हैं। (जौहरा)

मसअ्ला :– साल पूरा होने से पहले अगर साइमा को रुपये के बदले बेचा तो अब इन रूपयों को उन रुपयों के साथ मिला लेंगे जो पहले से इसके पास बक़द्रे निसाब मौजूद हैं यअ़्नी उनके साल पूरा होने पर इनकी भी ज़कात दी जाये इनके लिए नया साल शुरूअ् न होगा यूँही अगर जानवर के बदले बेचा तो इस जानवर को उस जानवर के साथ मिलाये जो पहले से उस के पास है। अगर साइमा की ज़कात दे दी फिर उसे साइमा न रखा बल्कि बेच डाला तो समन (क़ीमत) को अगले माल के साथ मिला देंगे। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– ऊँट, गाय, बकरी में एक को दूसरे के बदले साल पूरा होने से पहले बेचा तो अब से इनके लिये नया साल शुरूअ् होगा। यूँही अगर और चीज़ के बदले तिजारत की नियत से बेचा तो अब से एक साल गुज़रने पर ज़कात वाजिब होगी और अगर अपनी जिन्स के बदले बेचा यानी ऊँट को ऊँट और गाय को गाय के बदले जब भी यह ही हुक्म है और अगर साल पूरा होने पर बेचा तो ज़कात वाजिब हो चुकी वह इस के ज़िम्मे है।(जौहरा)

मसअ्ला :– दरमियाने साल में साइमा को बेचा था और साल पूरा होने से पहले ऐब की वजह से ख़रीदार ने वापस कर दिया तो अगर क़ाज़ी के हुक्म से वापसी हुई तो नया साल शुरूअ् न होगा वरना अब से साल शुरूअ् किया जाये और अगर हिबा कर दिया था फिर साल पूरा होने से पहले वापस कर लिया तो नया साल लिया जायेगा क़ाज़ी के फ़ैसले से वापसी हो या ब–तौरे खुद यअ़्नी अपने तौर पर। (जौहरा)

मसअ्ला :– इस के पास ख़िराजी ज़मीन थी ख़िराज अदा करने के बाद बेच डाली तो समन को अस्ल निसाब के साथ मिला देंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– उसके पास रुपये हैं जिनकी ज़कात दे चुका है फिर उन से चराई के जानवर ख़रीदे और इसके यहाँ उस जिन्स के जानवर पहले से मौजूद हैं तो इनको उनके साथ न मिलायेंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी ने उसे हज़ार रुपये बतौर हिबा दिये और साल पूरा होने से पहले हज़ार रूपये और हासिल किये फिर हिबा करने वाले ने अपने दिये हुए रुपये हुक्मे क़ाज़ी से वापस ले लिये तो इन जदीद (नए)रूपयों की भी इस पर ज़कात वाजिब नहीं जब तक इन पर साल न गुज़रे।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी के पास तिजारत की बकरियाँ हैं जिनकी क़ीमत दो सौ दिरहम है और साल पूरा होने से पहले एक बकरी मर गई और साल पूरा होने से पहले इसने उसकी खाल निकाल कर पका ली तो ज़कात वाजिब है। (आलमगीरी) यानी जबकि वह खाल निसाब को पूरा करे।

मसअ्ला :– ज़कात देते वक़्त ज़कात के लिए माल अलाहिदा (अलग)करते वक़्त ज़कात की नियत

करना शर्त है। नियत के यह मअ्ना हैं कि अगर पूछा जाये तो बिला देर किए यह बता सके कि ज़कात है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– साल भर तक ख़ैरात करता रहा अब नियत की कि जो कुछ दिया है ज़कात है तो अदा न हुई। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक शख़्स को वकील बनाया उसे देते वक़्त तो ज़कात की नियत न की मगर जब वकील ने फ़कीर को दिया उस वक़्त मुवक्किल (वकील बनाने वाले) ने नियत कर ली हो गई। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– ज़कात देते वक़्त नियत नहीं की थी बाद को की तो अगर वह माल फ़कीर के पास मौजूद है यअ्नी उसकी मिल्क में है तो यह नियत काफ़ी है वरना नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ज़कात देने के लिए वकील बनाया और वकील को ज़कात की नियत से माल दिया मगर वकील ने फ़कीर को देते वक़्त नियत नहीं की अदा हो गयी। यूँ ही ज़कात का माल ज़िम्मी को दिया कि वह फ़कीर को दे दे और ज़िम्मी को देते वक़्त नियत कर ली थी तो यह नियत काफ़ी है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– वकील को देते वक़्त कहा नफ़्ल सदका या कफ़्फ़ारा है मगर इससे पहले कि वकील फ़कीर को दे इसने ज़कात की नियत कर ली तो ज़कात ही है अगर्चे वकील ने नफ़्ल या कफ़्फ़ारा की नियत से फ़कीर को दिया हो। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– एक शख़्स चन्द ज़कात देने वालों का वकील है और सब की ज़कात मिला दी तो उसे तावान जुर्माना देना पड़ेगा और जो कुछ फ़कीर को दे चुका है वह तबर्रुअ् (अल्लाह के वास्ते)है यअ्नी न मालिकों से उसका मुआवज़ा (बदला)पायेगा न फ़कीरों से,अलबत्ता अगर फ़कीरों को देने से पहले मालिकों ने मिलाने की इजाज़त दे दी तो तावान इसके ज़िम्मे नहीं। यूँही अगर फ़कीरों ने भी इसे ज़कात लेने का वकील किया और इसने मिला दिया तो तावान इस पर नहीं मगर इस वक़्त यह ज़रूर है कि अगर एक फ़कीर का वकील है और चन्द जगह से इस वकील को इतनी ज़कात मिली कि मजमुआ यअ्नी सब मिलाकर बक़द्रे निसाब है तो अब जो जानकर ज़कात दे उसकी ज़कात अदा न होगी या चन्द फ़कीरों का वकील है और ज़कात इतनी मिली कि हर एक का हिस्सा निसाब की क़द्र है तो अब इस वकील को ज़कात देना जाइज़ नहीं मसलन तीन फ़कीरों का वकील है और छह सौ दिरहम मिले कि हर एक का हिस्सा दो सौ हुआ जो निसाब है और छह सौ से कम मिला तो किसी को निसाब की क़द्र न मिला और अगर हर एक फ़कीर ने उसे अलाहिदा–अलाहिदा वकील बनाया तो मजमुआ नहीं देखा जायेगा बल्कि हर एक को जो मिला है वह देखा जायेगा और इस सूरत में बग़ैर फ़कीरों की इजाज़त के मिलाना जाइज़ नहीं और मिला देगा जब भी ज़कात अदा हो जायेगी और फ़कीरों को तावान देगा और अगर फ़कीरों का वकील न हो तो इसे दे सकते हैं अगर्चे कितनी ही निसाबें इसके पास जमा हो गईं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– चन्दा औक़ाफ़(वक़्फ़ की जमा)के मुतवल्ली को एक की आमदनी दूसरी में मिलाना जाइज़ नहीं। यूँही दलाल को ज़रे समन(क़ीमत का माल) या बिकने वाली चीज़ को मिलाना जाइज़ नहीं। यूँही अगर चन्द फ़कीरों के लिए सवाल किया तो जो मिला बे उनकी इजाज़त के मिलाना जाइज़ नहीं। यूँही आटा पीसने वाले को यह जाइज़ नहीं कि लोगों के गेहूँ मिला दे मगर जहाँ मिला देने पर उर्फ़ जारी हो यअ्नी ऐसा होता हो तो मिला देना जाइज़ है और उन सब सूरतों में तावान देगा। (ख़ानिया)

मसअला :– अगर मुवक्किलों ने सराहतन (खुले तौर पर)मिलाने की इजाज़त न दी मगर उर्फ़ ऐसा जारी हो गया यअ्नी ऐसा होने लगा है कि वकील मिला दिया करते हैं तो यह भी इजाज़त समझी जायेगी जबकि मुवक्किल उस उर्फ़ से वाकिफ़ हो मगर दलाल को मिलाने की इजाज़त नहीं कि उसमें उर्फ़ नही। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– वकील को इख़्तियार है कि माले ज़कात अपने लड़के या बीवी को दे दे जबकि यह फ़क़ीर हों और लड़का अगर नाबालिग़ है तो उसे देने के लिये ख़ुद इस वकील का फ़क़ीर होना भी ज़रूरी है मगर अपनी औलाद या बीवी को उस वक़्त दे सकता है जब मुवक्किल ने इनके सिवा किसी ख़ास शख़्स को देने के लिये न कह दिया हो वरना उन्हें नहीं दे सकता। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– वकील को यह इख़्तियार नहीं कि ख़ुद ले ले, हाँ अगर ज़कात देने वाले ने यह कह दिया हो कि जिस जगह चाहो सर्फ़ (ख़र्च) करो तो ले सकता है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर ज़कात देने वाले ने उसे हुक्म नहीं दिया ख़ुद ही उसकी तरफ़ से ज़कात दे दी तो न हुई अगर्चे अब उसने जाइज़ कर दिया हो। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– ज़कात देने वाले वकील को ज़कात का रुपया दिया, वकील ने उसे रख लिया और अपना रुपया ज़कात में दे दिया तो जाइज़ है, अगर यह नियत हो कि इसके एवज़ (बदले) मुवक्किल का रुपया ले लेगा, और अगर वकील ने पहले इस रुपये को ख़ुद ख़र्च कर डाला बअ्द को अपना रुपया ज़कात में दिया तो ज़कात अदा न हुई बल्कि यह तबर्रोअ् (अल्लाह के वास्ते) है और मुवक्किल को तावान देगा। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– ज़कात के वकील को यह इख़्तियार है कि बग़ैर मालिक की इजाज़त के दूसरे को वकील बना दे। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– किसी ने यह कहा कि अगर मैं इस घर में जाऊँ तो मुझ पर अल्लाह के लिये इन सौ रुपयों का ख़ैरात कर देना है फिर गया और जाते वक़्त यह नियत की कि ज़कात में दे दूँगा तो ज़कात में नहीं दे सकता। (आलमगीरी)

मसअला :– ज़कात का माल हाथ पर रखा था फ़ुक़रा लूट ले गये,अदा हो गयी और अगर हाथ से गिर गया और फ़क़ीर ने उठा लिया अगर यह उसे पहचानता है और राज़ी हो गया और माल ज़ाए (बर्बाद) नहीं हुआ तो ज़कात अदा हो गयी। (आलमगीरी)

मसअला :– अमीन के पास से अमानत ज़ाए हो गयी उसने मालिक को दफ़ए ख़ुसूमत यअ्नी झगड़ा ख़त्म करने के लिये कुछ रुपये दे दिये और देते वक़्त ज़कात की नियत कर ली और मालिक फ़क़ीर भी है ज़कात अदा न हुई। (आलमगीरी)

मसअला :– माल को ज़कात की नियत से अलाहिदा कर देने से बरीउज़्ज़िम्मा न होगा जब तक फ़क़ीरों को न दे। यहाँ तक कि अगर वह जाता रहा तो ज़कात साक़ित न हुई और अगर मर गया तो इसमें विरासत जारी होगी। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– साल पूरा होने पर कुल निसाब ख़ैरात कर दी अगर्चे ज़कात की नियत न की बल्कि नफ़्ल की नियत की या कुछ नियत न की ज़कात अदा हो गयी और अगर कुल फ़क़ीर को दे दिया और मन्नत या किसी और वाजिब की नियत की तो देना सही है मगर ज़कात उसके ज़िम्मे साक़ित

न हुई और अगर माल का कोई हिस्सा ख़ैरात किया तो उस हिस्से की भी जकात साक़ित न होगी बल्कि इसके ज़िम्मे है और अगर कुल माल हलाक हो गया तो कुल की ज़कात साक़ित और जो बाक़ी है उसकी वाजिब अगर्चे वह ब–क़द्रे निसाब न हो। हलाक के यह मअ्ना हैं कि बग़ैर उसके फ़ेअ्ल के हलाक हो गया मसलन चोरी हो गया या किसी को क़र्ज़ या उधार दिया उसने इन्कार कर दिया और गवाह नहीं या वह मर गया और कुछ तर्का न छोड़ा या फेंक दिया या ग़नी को हिबा कर दिया तो ज़कात ब–दस्तूर वाजिबुल अदा है, एक पैसा भी साक़ित न होगा अगर्चे बिल्कुल नादार (बहुत ग़रीब)हो (दुर्रे मुख़्तार,आलमगीरी)

मसअ्ला :– फ़क़ीर पर उसका क़र्ज़ था और कुल माफ़ कर दिया ज़कात साक़ित हो गयी और जुज़ यअ्नी एक हिस्सा मआफ़ किया तो उस एक हिस्से की साक़ित हो गई और अगर इस सूरत में यह नियत की कि पूरा ज़कात में हो जाये तो न होगी अगर मालदार पर क़र्ज़ था और कुल माफ़ कर दिया तो ज़कात साक़ित न हुई बल्कि उसके ज़िम्मे है। फ़क़ीर पर क़र्ज़ था माफ़ कर दिया और यह नियत की कि फ़लाँ पर जो दैन है यह उसकी ज़कात है अदा न हुई। (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला :–किसी पर उसके रुपये आते हैं फ़क़ीर से कह दिया उससे वुसूल कर ले और नियत ज़कात की की कि कब्ज़ा कर लेने के बाद अदा हो गयी। फ़क़ीर पर क़र्ज़ है उस को अपने माल की ज़कात में देना चाहता है यअ्नी चाहता है कि माफ़ कर दे और वह मेरे माल की ज़कात हो जाये यह नहीं हो सकता अलबत्ता यह हो सकता है कि उसे ज़कात का माल दे और अपने आते हुए ले ले अब अगर वह देने से इन्कार करे तो हाथ पकड़ कर छीन सकता है और यूँ भी न मिले तो क़ाज़ी के पास मुक़दमा पेश करे कि उसके पास है और मेरा नहीं देता है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– ज़कात का रुपया मुर्दे की तजहीज़ व तकफ़ीन यअ्नी कफ़न–दफ़न या मस्जिद की तामीर में नहीं सर्फ़ (ख़र्च) कर सकते कि तमलीके फ़क़ीर नहीं पायी गई यअ्नी यहाँ पर फ़क़ीर को मालिक बनाना न पाया गया और इन कामों में सर्फ़ करना चाहें तो उसका तरीक़ा यह है कि फ़क़ीर को मालिक कर दें और वह सर्फ़ करे सवाब दोनों को होगा बल्कि हदीस में आया अगर सौ हाथों में सदक़ा गुज़रा तो सब को वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा देने वाले के लिए और उसके अज्र में कुछ कमी न होगी। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ज़कात अलानिया और ज़ाहिर तौर पर देना अफ़ज़ल है और नफ़्ल सदक़ा छिपा कर देना अफ़ज़ल है। (आलमगीरी)ज़कात में ऐलान इस वजह से है कि छिपा कर देने में लोगों को तोहमत और बदगुमानी का मौक़ा मिलेगा और एलान करने से लोगों को तरग़ीब होगी कि उसको देख कर और लोग भी देंगे मगर यह ज़रूर है कि रिया न आने पाये यअ्नी दिखावा न हो सवाब जाता रहेगा बल्कि गुनाह व अज़ाब का मुस्तहक़ होगा।

मसअ्ला :– ज़कात देने में इसकी ज़रूरत नहीं कि फ़क़ीर को ज़कात कह कर दे बल्कि सिर्फ़ ज़कात की नियत कर लेना काफ़ी है यहाँ तक कि अगर हिबा या क़र्ज़ कह कर दे और नियत ज़कात की हो अदा हो गई। (आलमगीरी) यूँही नज़्र या हदया या पान खाने या बच्चों के मिठाई खाने या ईदी के नाम से दी अदा हो गयी। बाज़ मुहताज ज़रूरतमन्द ज़कात का रुपया नहीं लेना चाहते उन्हें ज़कात का कह कर दिया जायेगा तो नहीं लेंगे लिहाज़ा ज़कात का लफ़्ज़ न कहें।

मसअ्ला :– ज़कात अदा नहीं की थी और अब बीमार है तो अब वारिसों से छुपा कर दे और अगर

न दी थी और अब देना चाहता है मगर माल नहीं जिससे अदा करे और यह चाहता है कि क़र्ज़ लेकर अदा करे तो अगर ग़ालिब गुमान क़र्ज़ अदा हो जाने का है तो बेहतर यह है कि क़र्ज़ लेकर अदा करे वरना नहीं कि हुक़ूकुल इबाद हुक़ूकुल्लाह से बहुत सख़्त हैं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मालिके निसाब साल पूरा होने से भी पहले अदा कर सकता है ब–शर्ते कि साल पूरा होने पर भी उस निसाब का मालिक रहे और अगर साल ख़त्म होने पर एक निसाब न रहा या साल के दरमियान में वह माले निसाब बिल्कुल हलाक हो गया तो जो कुछ दिया नफ़्ल है और जो शख़्स निसाब का मालिक न हो वह ज़कात नहीं दे सकता यअ्नी अगर आइन्दा निसाब का मालिक हो गया तो जो कुछ पहले दिया है वह उसकी ज़कात में शुमार न होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मालिके निसाब अगर पहले से चन्द निसाबों की ज़कात देना चाहता है तो दे सकता है यअ्नी शुरूअ् साल में एक निसाब का मालिक है और दो या तीन निसाबों की ज़कात दे दी और साल ख़त्म होने तक एक ही निसाब का मालिक रहा साल के बाद और हासिल किया तो ज़कात उसमें शुमार न होगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मालिके निसाब पहले से चन्द साल की भी ज़कात दे सकता है। (आलमगीरी) लिहाज़ा मुनासिब है कि थोड़ा–थोड़ा ज़कात में देता रहे और साल ख़त्म होने पर हिसाब करे और अगर ज़कात पूरी हो गयी तो बहुत अच्छा और कुछ कमी है तो अब वह फ़ौरन दे दे,देर करना जाइज़ नहीं न इसकी इजाज़त है कि अब थोड़ा–थोड़ा कर के अदा करे बल्कि जो कुछ बाक़ी है कुल फ़ौरन अदा कर दे और ज़्यादती को ज़कात में जोड़ ले।

मसअ्ला :– एक हज़ार का मालिक है और दो हज़ार की ज़कात दी और नियत यह है कि साल ख़त्म होने पर अगर एक हज़ार और हो गये तो यह उसकी है वरना आइन्दा साल में शुमार होगी यह जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– यह गुमान करके कि पाँच सौ रुपये हैं पाँच सौ की ज़कात दी फिर मअ्लूम हुआ कि चार ही सौ थे तो जो ज़्यादा दिया है आइन्दा साल में शुमार कर सकता है। (ख़ानिया)

मसअ्ला :– किसी के पास सोना चाँदी दोनों हैं और साल ख़त्म होने से पहले एक की ज़कात दे दी तो वह दोनों की ज़कात है यअ्नी दरमियाने साल में उनमें से एक हलाक हो गया अगर्चे वही जिसकी नियत से ज़कात दी है तो जो रह गया है उसकी ज़कात यह हो गई और अगर उसके पास गाय, बकरी ऊँट सब ब–क़द्रे निसाब हैं और पहले से उनमें एक की ज़कात दी तो जिसकी ज़कात दी उसी की है दूसरे की नहीं यअ्नी जिसकी ज़कात दी है अगर दरमियाने साल में उसकी निसाब जाती रही तो वह बाक़ियों की ज़कात नहीं क़रार दी जायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– साल के दरमियान जिस फ़क़ीर को ज़कात दी थी साल ख़त्म होने पर वह मालदार हो गया या मर गया या मआज़ल्लाह मुरतद हो गया तो ज़कात पर उस का कुछ असर नहीं वह अदा हो गई,जिस शख़्स पर ज़कात वाजिब है अगर वह मर गया तो साक़ित हो गयी यअ्नी उसके माल से ज़कात देना ज़रूर नहीं, हाँ अगर वसीयत कर गया तो तिहाई माल तक वसीयत नाफ़िज़(जारी)है और अगर आक़िल बालिग़ वुरसा इजाज़त दे दें तो कुल माल से ज़कात अदा की जाये। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर शक है कि ज़कात दी या नहीं तो अब दे दे। (रद्दुल मुहतार)

साइमा की ज़कात का बयान

साइमा वह जानवर है जो साल के अकसर हिस्से में चर कर गुज़र करता हो और उससे मक़सूद सिर्फ दूध और बच्चे लेना या फ़रबा (मोटा ताज़ा)करना है। (तनवीर) अगर घर में घास लाकर खिलाते हों या मक़सूद बोझ लादना या हल वग़ैरा किसी काम में लाना या सवारी लेना है तो अगर्चे चर कर गुज़र करता हो वह साइमा नहीं और उसकी ज़कात वाजिब नहीं। यूँही अगर गोश्त खाने के लिए है तो साइमा नहीं अगर्चे जंगल में चरता हो और अगर तिजारत का जानवर चराई पर है तो यह भी साइमा नहीं बल्कि इसकी ज़कात कीमत लगा कर अदा की जायेगी। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– छह महीने चराई पर रहता है और छह महीने चारा पाता है तो साइमा नहीं और अगर यह इरादा था कि इसे चारा देंगे इससे काम लेंगे मगर किया नहीं यहाँ तक कि साल ख़त्म हो गया तो ज़कात वाजिब है और अगर तिजारत के लिए था और छह महीने या ज़्यादा तक चराई पर रखा तो जब तक यह नियत न करे कि यह साइमा है फ़क़त चराने से साइमा न होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– तिजारत के लिए ख़रीदा था फिर साइमा कर दिया तो ज़कात के लिए साल की शुरूआत उस वक़्त से है ख़रीदने के वक़्त से नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– साल ख़त्म होने से पहले साइमा को किसी चीज़ के बदले बेच डाला अगर यह चीज़ उस क़िस्म की है जिस पर ज़कात वाजिब होती है और पहले से इसकी निसाब उसके पास मौजूद नहीं तो अब उसके लिये इस वक़्त से साल शुमार किया जायेगा। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– वक़्फ़ के जानवर और जिहाद के घोड़े की ज़कात नहीं। यूँही अन्धे या हाथ पाँव कटे हुए जानवर की ज़कात नहीं अलबत्ता अन्धा अगर चराई पर रहता है तो वाजिब है। यूँही अगर निसाब में कमी है और उसके पास अन्धा जानवर है कि उसके मिलाने से निसाब पूरी हो जाती है तो ज़कात वाजिब है (आलमगीरी)तीन क़िस्म के जानवरों की ज़कात वाजिब है जबकि साइमा हों 1.ऊँट 2.गाय 3.बकरी लिहाज़ा इनकी निसाब की तफ़सील बयान करने के बाद दीगर अहकाम बयान किये जायेंगे।

ऊँट की ज़कात का बयान

सहीहैन में अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं पाँच ऊँट से कम में ज़कात नहीं और इसकी ज़कात में तफ़सील सही बुख़ारी शरीफ़ की उस हदीस में है जो अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी।

मसअ्ला :– पाँच ऊँट से कम में ज़कात वाजिब नहीं और जब पाँच या पाँच से ज़्यादा हों मगर पैंतीस से कम हों तो हर पाँच में एक बकरी वाजिब है यानी पाँच हों तो एक बकरी दस हों तो दो, इसी तरह समझ लें। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– ज़कात में जो बकरी दी जाये वह साल भर से कम की न हो, बकरी दें या बकरा इसका इख़्तियार है। (रद्दुल मुहतार वग़ैरा)

मसअ्ला :– दो निसाबों के दरमियान में जो हों वह अफ़्व (माफ़)हैं यअ्नी उनकी कुछ ज़कात नहीं मसलन सात–आठ हों जब भी वही एक बकरी है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– पच्चीस ऊँट हों एक बिन्ते मख़ाज़ यअ्नी ऊँट का मादा बच्चा जो एक साल का हो

चुका दूसरी बरस में हो, पैंतीस तक यही हुक्म है यअ्नी बिन्ते मख़ाज़ देंगे। छत्तीस से पैंतालीस तक में एक बिन्ते लबून यअ्नी ऊँट का मादा बच्चा जो दो साल का हो चुका और तीसरी बरस में है। छियालीस से साठ तक में हिक़्क़ा यअ्नी ऊँटनी जो तीन बरस की हो चुकी चौथी में हो। इकसठ से पचहत्तर तक में जिज़्आ यअ्नी चार साल की ऊँटनी जो पाँचवीं में हो। छिहत्तर से नव्वे तक दो बिन्ते लबून इक्कानवे से एक सौ बीस तक में दो हिक़्क़ा इसके बअ्द एक सौ पैंतालीस तक दो हिक़्क़ा और पाँच में एक बकरी, मसलन एक सौ पच्चीस में दो हिक़्क़ा एक बकरी और एक सौ तीस में दो हिक़्क़ा दो बकरियाँ इसी तरह आगे समझ लें फिर एक सौ पचास में तीन हिक़्क़ा अगर इससे ज़्यादा हों तो इनमें वैसा ही करें जैसा शुरूअ् में किया था यानी हर पाँच में एक बकरी और पच्चीस में बिन्ते मख़ाज़,छत्तीस में बिन्ते लबून यह एक सौ छियासी बल्कि एक सौ पंचानवे तक का हुक्म हो गया यअ्नी इतने में तीन हिक़्क़ा और एक बिन्ते लबून फिर एक सौ छियानवे से दो सौ तक चार हिक़्क़ा और यह भी इख़्तियार है कि पाँच बिन्ते लबून दे दें। फिर दो सौ के बाद वही तरीक़ा बरतें जो एक सौ पचास के बअ्द है यअ्नी हर पाँच में एक बकरी पच्चीस में बिन्ते मख़ाज़ छत्तीस में बिन्ते लबून फिर दो सौ छियालीस से दो सौ पचास तक पाँच हिक़्क़ा और इसी तरह आगे समझ लें। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– ऊँट की ज़कात में जिस मौक़े पर एक या दो या तीन या चार साल का ऊँट का बच्चा दिया जाता है तो ज़रूरी है कि वह मादा हो, नर दें तो मादा की क़ीमत का हो वरना नहीं लिया जायेगा। (दुर्रे मुख़्तार)

गाय की ज़कात का बयान

हदीस :– अबू दर्दा व तिर्मिज़ी व नसई व दारमी मआज़ इब्ने जबल रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि जब हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने इन को यमन का हाकिम बना कर भेजा तो यह फ़रमाया कि हर तीस गाय से एक तबीअ् या तबीआ लें और हर चालीस में एक मुसिन या मुसिन्ना और इसी के मिस्ल अबू दर्दा की दूसरी रिवायत अमीरुल मोमिनीन मौला अली रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से है और इसमें यह भी है कि काम करने वाले जानवर की ज़कात नहीं।

मसअ्ला :– तीस से कम गाय हों तो ज़कात वाजिब नहीं जब तीस पूरी हों तो इनकी ज़कात एक तबीअ् यअ्नी साल भर का बछड़ा या तबीआ यअ्नी साल भर की बछिया है और चालीस हों तो एक मुसिन यानी दो साल का बछड़ा या मुसिन्ना यअ्नी दो साल की बछिया, उनसठ तक यही हुक्म है फिर साठ में दो तबीअ् या तबीआ फिर हर तीस में एक तबीअ् या तबीआ और हर चालीस में एक मुसिन या मुसिन्ना मसलन सत्तर में एक तबीअ् और एक मुसिन और अस्सी में दो मुसिन और इसी तरह आगे समझ लें और जिस जगह तीस और चालीस दोनों हो सकते हो वहाँ इख़्तियार है कि तबीअ् ज़कात में दे या मुसिन मसलन एक सौ बीस में इख़्तियार है कि चार तबीअ् दें या तीन मुसिन। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– भैंस गाय के हुक्म में है और अगर गाय भैंस दोनों हों तो ज़कात में मिला दी जायेंगी मसलन बीस गाय हैं और दस भैंस तो ज़कात वाजिब हो गई और ज़कात में उसका बच्चा लिया जायेगा जो ज़्यादा हो यअ्नी गाय ज़्यादा हों तो गाय का बच्चा और भैंस ज़्यादा हो तो भैंस का और अदना से अच्छा। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– गाय भैंस की ज़कात में इख़्तियार है कि नर लिया जाये या मादा मगर अफ़ज़ल यह है कि गाय ज़्यादा हों तो बछिया और नर ज़्यादा हों तो बछड़ा (आलमगीरी)

बकरियों की ज़कात का बयान

हदीस :–सही बुख़ारी शरीफ़ में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि सिद्दीके अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने जब उन्हें बहरीन भेजा तो फ़राइज़े सदका जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुक़र्रर फ़रमाये थे लिख कर दिये,उनमें बकरी की निसाब का भी बयान है और यह कि ज़कात में न बूढ़ी बकरी दी जाये न ऐब वाली, न बकरा, हाँ अगर मुसद्दिक (सदका वुसूल करने वाला)चाहे तो ले सकता है और ज़कात के ख़ौफ़ से न मुतफ़र्रिक (अलग अलग) को जमा करें न मुजतमा (इकट्ठे)को मुतफ़र्रिक करें।

मसअ्ला :– चालीस से कम बकरियाँ हों तो ज़कात वाजिब नहीं और चालीस हों तो एक बकरी और यही हुक्म एक सौ बीस तक है यअ्नी इनमें भी वही एक बकरी और यही हुक्म एक सौ इक्कीस में दो और दो सौ एक में तीन और चार सौ में चार फिर हर सौ पर एक और जो दो निसाबों के दरमियान में है मआफ़ है। (आम्मए मुतुब)

मसअ्ला :– ज़कात में इख़्तियार है कि बकरी दे या बकरा जो कुछ हो यह ज़रूर है कि साल भर से कम का न हो अगर कम का हो तो कीमत के हिसाब से दिया जा सकता है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– भेड़, दुम्बा बकरी में दाख़िल हैं कि एक से निसाब पूरी न होती हो तो दूसरी को मिलाकर पूरी करें और ज़कात में भी इन को दे सकते हैं मगर साल से कम के न हों। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जानवरों में नसब माँ से होता है तो अगर हिरन और बकरी से बच्चा पैदा हुआ तो बकरियों में शुमार होगा और निसाब में अगर एक की कमी है तो इसे मिला कर पूरी करेंगे। बकरे और हिरनी से हो तो नहीं। यूँही नील गाय और बैल से है तो गाय नहीं और नील गाय नर और गाय से है तो गाय है (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– जिन जानवरों की ज़कात वाजिब है वह कम से कम साल भर के हों अगर सब एक साल से कम के बच्चे हों तो ज़कात वाजिब नहीं और अगर एक भी उनमें साल भर का हो सब उसी के ताबेअ् हैं ज़कात वाजिब हो जायेगी यअ्नी मसलन बकरी के चालीस बच्चे साल साल भर से कम के ख़रीदे तो ख़रीदारी के वक़्त से एक साल पर ज़कता वाजिब नहीं कि उस वक़्त क़ाबिले निसाब न थे बल्कि उस वक़्त से साल लिया जायेगा कि इन में का कोई साल भर का हो गया। यूँही अगर इसके पास ब–क़द्रे निसाब बकरियाँ थीं और छः महीने गुज़रने के बाद उन के चालीस बच्चे हुए फिर बकरियाँ जाती रहीं बच्चे बाक़ी रह गये तो अब साल ख़त्म पर यह बच्चे क़ाबिले निसाब नहीं लिहाज़ा ज़कात वाजिब नहीं। (जौहरा)

मसअ्ला :– अगर इसके पास ऊँट ,गाय बकरियाँ सब हैं मगर निसाब से सब कम हैं या बअ्ज़ तो निसाब पूरी करने के लिये मिलायेंगे नहीं और ज़कात वाजिब न होगी। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– ज़कात में मुतवस्सित दर्जा का जानवर लिया जायेगा चुन कर उम्दा न लें,हाँ उस के पास सब अच्छे ही हों तो वही लें और गाभन और वह जानवर न लें जिसे खाने के लिए फ़रबा किया हो न वह मादा लें जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है न वह बकरा लिया जाये जिसके ज़रीए बच्चा हासिल किया जाता है। (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जिस उम्र का जानवर देना वाजिब आया वह उसके पास नहीं और उस से बढ़ कर मौजूद है तो वह दे दे और जो ज़्यादती हो वापस ले मगर सदक़ा वुसूल करने वाले पर ले लेना वाजिब नहीं अगर न ले और उस जानवर को तलब करे जो वाजिब आया या उसकी क़ीमत तो उसे इसका इख़्तियार है जिस उम्र का जानवर वाजिब हुआ वह नहीं है और उस से कम उम्र का है तो वही दे दे और जो कमी पड़े उसकी क़ीमत दे या वाजिब की क़ीमत दे दे दोनों तरह कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– घोड़े,गधे,ख़च्चर अगर्चे चराई पर हों इनकी ज़कात नहीं हाँ अगर तिजारत के लिये हों तो इनकी क़ीमत लगाकर उसका चालीसवाँ हिस्सा ज़कात में दें। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– दो निसाबों के दरमियान जो मुआफ़ है उसकी ज़कात नहीं होती यअ्नी साल ख़त्म होने के बाद अगर वह अफ़्व (मुआफ किया हुआ) हलाक हो जाये तो ज़कात में कोई कमी न होगी और वाजिब होने के बअ्द निसाब हलाक हो गई तो उसकी ज़कात भी साक़ित हो गई और हलाक पहले अफ़्व की तरफ़ फेरेंगे उससे बचे तो उस के मुत्तसिल (मिली हुई) जो निसाब है उस की तरफ़ फिर भी बचे तो उस के बअ्द इसी तरह आगे क़यास कर लें (समझ लें)मसलन अस्सी बकरियाँ थीं चालीस मर गयीं तो अब भी एक बकरी वाजिब रही कि चालीस के बअ्द दूसरा चालीस अफ़्व है और चालीस ऊँट में पन्द्रह मर गये तो बिन्ते मख़ाज़ वाजिब है कि चालीस में चार अफ़्व हैं वह निकाले उसके बाद छत्तीस की निसाब है वह भी काफ़ी नहीं लिहाज़ा ग्यारह और निकाले पच्चीस रहे इनमें बिन्ते मख़ाज़ का हुक्म है बस यही देंगे। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– दो बकरियाँ ज़कात में वाजिब हुईं और एक फ़रबा बकरी दी जो क़ीमत में दो की बराबर है ज़कात अदा हो गयी। (जौहरा)

मसअ्ला :– साल ख़त्म के बाद मालिके निसाब ने निसाब खुद हलाक कर दी तो ज़कात साक़ित न होगी मसलन जानवर को चारा पानी न दिया गया कि वह मर गया ज़कात देनी होगी,यूँही अगर इसका किसी पर क़र्ज़ था और वह मक़रूज़ (क़र्ज़दार) मालदार है साल ख़त्म के बाद इसने मुआफ़ कर दिया तो यह हलाक करना नहीं लिहाज़ा ज़कात साक़ित हो गई, और अगर साले तमाम के बाद माले तिजारत को ग़ैरे माले तिजारत के एवज़ (बदले)बेच डाला यअ्नी उसके बदले में जो चीज़ ली उससे तिजारत मक़सूद नहीं मसलन ख़िदमत के लिये गुलाम या पहनने के लिये कपड़े ख़रीदे या साइमा को साइमा के बदले बेचा और जिस के हाथ बेचा उसने इन्कार कर दिया और इसके पास गवाह नहीं या वह मर गया और तर्का न छोड़ा तो यह हलाक नहीं बल्कि हलाक करना है लिहाज़ा ज़कात वाजिब है। साले तमाम के बाद माले तिजारत को औरत के महर में दे दिया या औरत ने अपनी निसाब के बदले शौहर से खुला (माल या पैसों के बदले तलाक़ को खुला कहते हैं) किया तो ज़कात देनी होगी। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– उसके पास रुपये अशर्फ़ियाँ थीं जिन पर साल गुज़रा मगर अभी ज़कात नहीं दी उनके बदले तिजारत के लिये कोई चीज़ ख़रीदी और चीज़ हलाक हो गयी तो ज़कात साक़ित हो गयी मगर जबकि इतनी गिराँ ख़रीदी कि उतने नुक़सान के साथ लोग न ख़रीदते हों तो उसकी असली क़ीमत पर जो कुछ ज़्यादा दिया है उसकी ज़कात साक़ित न होगी कि वह हलाक करना है और अगर तिजारत के लिए न हो मसलन ख़िदमत के लिये गुलाम ख़रीदा वह मर गया तो उस रुपये की ज़कात साक़ित न होगी। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :–बादशाहे इस्लाम ने अगर्चे ज़ालिम या बाग़ी हो साइमा की ज़कात ले ली या उ़श्र वुसूल कर लिया और उन्हें महल(जाइज़ मसरफ़)पर सर्फ़ किया तो इआ़दा(लौटाने)की ह़ाजत नहीं यानी फिर से ज़कात देने की ज़रूरत नहीं और महल पर सर्फ़ न किया तो इआ़दा किया जाये और ख़िराज ले लिया तो मुतलक़न इआ़दा की ह़ाजत नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मुसद्दिक़ (ज़कात वुसूल करने वाले)के सामने साइमा बेच डाला तो मुसद्दिक़ को इख़्तियार है चाहे ब–क़द्रे ज़कात उसमें से क़ीमत ले ले और इस सूरत में बय(सौदा)तमाम हो गई और चाहे जो जानवर वाजिब हुआ वह ले ले और इस वक़्त जो लिया उसके ह़क़ में बय़ बातिल हो गयी और अगर मुसद्दिक़ वहाँ मौजूद न था बल्कि उस वक़्त आया कि मजलिसे अक़्द(जहाँ सौदा हो रहा था उस महफ़िल) से वह दोनों जुदा हो गये तो अब जानवर नहीं ले सकता जो जानवर वाजिब हो उसकी क़ीमत ले ले। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिस ग़ल्ले पर उ़श्र वाजिब हुआ उसे बेच डाला तो मुसद्दिक़ को इख़्तियार है चाहे बेचने वाले से उसकी क़ीमत ले या ख़रीदार से उतना ग़ल्ला वापस ले बय़ उसके सामने हुई हो या दोनों के जुदा होने के बअ़्द मुसद्दिक़ आया। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अस्सी बकरियाँ हैं तो एक बकरी ज़कात की है यह नहीं किया जा सकता कि चालीस –चालीस के दो गिरोह कर के दो ज़कात में लें और अगर दो शख़्सों की चालीस चालीस बकरियाँ हैं तो यह नहीं कर सकते कि उन्हें जमा कर के एक गिरोह कर दें कि एक ही बकरी ज़कात में देनी पड़े बल्कि हर एक से एक–एक ली जायेगी। यूँही अगर एक की उन्तालीस हैं और एक की चालीस तो उन्तालीस वाले से कुछ न लेंगे। ग़रज़ न मुजतमा को मुतफ़र्रिक़ करेंगे न मुतफ़र्रिक़ को मुजतमा यअ़्नी न मिलायेंगे न अलग करेंगे। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– मवेशी(ज़ानवर) में शिरकत से ज़कात पर कुछ असर नहीं पड़ता ख़्वाह वह किसी क़िस्म की हो अगर हर एक का ह़िस्सा ब–क़द्रे निसाब है तो दोनों पर पूरी–पूरी ज़कात वाजिब और एक का ह़िस्सा ब–क़द्रे निसाब है दूसरे का नहीं तो उस पर वाजिब है इस पर नहीं मसलन एक की चालीस बकरियाँ हैं दूसरे की तीस तो चालीस वाले पर एक बकरी, तीस वाले पर कुछ नहीं और अगर किसी की ब–क़द्रे निसाब न हों मगर मजमूअ़ा ब–क़द्रे निसाब है तो किसी पर कुछ नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– अस्सी बकरियों में इक्यासी शरीक़ हैं यूँ कि एक शख़्स हर बकरी में निस्फ़ का मालिक है और हर बकरी के दूसरे निस्फ़ का उनमें से एक–एक शख़्स मालिक है तो उसके सब ह़िस्सों का मजमूअ़ा चालीस के बराबर हुआ और यह सब सिर्फ़ आधी–आधी बकरी के ह़िस्सेदार हुए मगर ज़कात किसी पर नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– शिरकत की मवेशी में ज़कात दी गई तो हर एक पर उसके ह़िस्से की क़द्र है जो कुछ ह़िस्से से ज़ायद गया वह शरीक से वापस ले मसलन एक की इक्तालीस बकरियाँ हैं दूसरे की बयासी कुल एक सौ तैंतीस हुईं और दो ज़कात में ली गयीं यानी हर एक से एक मगर चूँकि एक शख़्स एक तिहाई का शरीक है और दूसरा दो का,लिहाज़ा बकरी में दो तिहाई वाले की दो तिहाईयाँ गईं जिन,का मजमूअ़ा एक तिहाई और एक बकरी है और एक तिहाई वाले की हर बकरी में एक ही तिहाई गई कि मजमूअ़ा दो तिहाईयाँ हुआ और उस पर वाजिब एक बकरी है लिहाज़ दो तिहाईयों वाला एक तिहाई वाले से तिहाई लेने का मुस्तहक़ (हक़दार)है और

हमे बड़ी मुसर्रत हो रही है कि अल्लाह त'आला और उसके हबीब सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम के हुक्म फ़ज़्ल-ओ-करम से और बुज़ुर्गाने दीन सिलसिला-ए-क़ादिरिया बिलख़ुसूस पिराने पीर दस्तगीर हुज़ूर ग़ौस-ए-आज़म शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रादिअल्लाहु त'आला अन्हू के फ़ैज़ से क़िताब बहार-ए-शरीअत (हिस्सा 01 से 10) हिंदी में पीडीएफ [PDF] में आप की खिदमत में पेश की जा रही है।

ज़माना-ए- क़दीम से अवमुन्नास की इस्लाहे हाल और हिदायते उख़रवी व दुनयवी के लिए हक़ सदाक़त के जाम की फ़राहमी की जाती रही हैं और ये इलतेज़ाम ख़ालिक़-ए-क़ायनात जल्ला जलालहु ने ब अहसान अपनी मख़लूक़ के लिए फ़रमाया है। अम्बिया व मुर्सलीन के बेहतरीन दौर के बाद उसने यह ख़िदमत अपने मुक़र्रबीन रिज़वानुल्लाह त'आला अलैहिम अजमईन के सुपुर्द की और यह सिलसिला अला हालही जारी व सारि है।

मज़हब-ए-इस्लाम अल्लाह त'आला का पसंदीदा दीन है । ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नही जिसके लिए इस्लाम ने हमे क़ानून न दिया हो ।

आज जिस दौर से हम गुज़र रहे है हमारा मुस्लिम तबका उर्दू की तरफ ध्यान नही दे रहा है और नई नस्ल तो बिल्कुल ही उर्दू से नावाक़िफ़ होती जा रही है । नतीजे के तौर पर दीनी और मज़हबी दिलचस्पियाँ कम हो रही है और हम अपने हाल को ग़ैर मुंज़बित तरीके पे छोड़े रहते है ।

लिहाज़ा ये किताब हिंदी में लिखी गई है और आप सब की आसानी के लिए हम ने इस किताब को पीडीएफ फ़ाइल में आप की ख़िदमत में पेश किया है।
आप सब से हमारी गुज़ारिश है कि अपनी मसरूफ ज़िन्दगी में से रोज़ाना वक़्त निकाल कर बुज़ुर्गो की तस्नीफ़ करदा किताबो को मुताला में रखें , इंशा अल्लाह त'आला दीन और दुनिया दोनो में मक़बूल होंगे।

दुआओं के तलबगार

वसीम अहमद रज़ा खान और साथी

+91-8109613336

अगर कुल अस्सी बकरियाँ हैं एक दो तिहाई का शरीक है दूसरा एक तिहाई का और ज़कात में एक बकरी ली गयी तो तिहाई का हिस्सेदार अपने शरीक से तिहाई बकरी की क़ीमत ले कि इस पर ज़कात वाजिब नहीं। (रद्दुल मुहतार)

सोने, चाँदी और तिजारत के माल की ज़कात का बयान

हदीस न.1 :– सुनने अबू दाऊद व तिर्मिज़ी में अमीरूल मोमिनीन मौला अली रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं घोड़े और लौंडी गुलाम की ज़कात मैंने माफ़ फ़रमाई तो अब चाँदी की ज़कात हर चालीस दिरहम से एक दिरहम अदा करो मगर एक सौ नव्वे में कुछ नहीं जब दो सौ दिरहम हों तो पाँच दिरहम दो।

हदीस न.2 :– अबू दरदा की दूसरी रिवायत इन्हीं से यूँ है कि हर चालीस दिरहम से एक दिरहम है मगर जब तक दो सौ दिरहम पूरे न हों कुछ नहीं जब दो सौ पूरे हों तो पाँच दिरहम और इस से ज़्यादा हों तो इसी हिसाब से दें।

हदीस न.3 :– तिर्मिज़ी शरीफ़ में ब–रिवायते अम्र इब्ने शुऐब अन अबीहे अन जद्देही मरवी कि दो औरतें हाज़िरे ख़िदमते अक़्दस हुईं उनके हाथों में सोने के कंगन थे। इरशाद फ़रमाया तुम इसकी ज़कात अदा करती हो। अ़र्ज़ की नहीं। फ़रमाया तो क्या तुम इसे पसंद करती हो कि अल्लाह तआ़ला तुम्हें आग के कंगन पहनाये। अ़र्ज़ की न। फ़रमाया तो इसकी ज़कात अदा करो।

हदीस न.4 :– इमाम मालिक व अबू दाऊद उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हा से रिवायत करते हैं, फ़रमाती हैं मैं सोने के ज़ेवर पहना करती थी मैंने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह क्या यह कन्ज़ है ?(कन्ज़ से वह ख़ज़ाना मुराद है जिसके जमा करने पर क़ुर्आन में वईद आई है) और जिस में से अल्लाह की राह में ख़र्च न किया जाये) इरशाद फ़रमाया जो इस हद को पहुँचे कि उसकी ज़कात अदा की जाये और अदा कर दी गयी तो कन्ज़ नहीं।

हदीस न.5 :– इमाम अहमद असमा बिन्ते यज़ीद से रावी कहती हैं मैं और मेरी ख़ाला हाज़िरे ख़िदमते अक़दस हुईं और हम सोने के कंगन पहने हुए थे। इरशाद फ़रमाया, इसकी ज़कात देती हो? अ़र्ज़ की नहीं। फ़रमाया क्या डरती नहीं हो कि अल्लाह तआ़ला तुम्हें आग के कंगन पहनाये, इसकी ज़कात अदा करो।

हदीस न.6 :– अबू दाऊद सुमरा इब्ने सुन्दुब रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि हम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला हुक्म दिया करते कि जिस को हम बय़ (तिजारत) के लिए मुहय्या करें उसकी ज़कात निकालें।

मसअ्ला :– सोने की निसाब बीस मिस्क़ाल है यअ्नी साढ़े सात तोले (87ग्राम 480 मिलीग्राम) और चाँदी को दो सौ दिरहम यअ्नी साढ़े बावन तोले (612ग्राम 360 मिलीग्राम) यअ्नी वह तोला जिससे यह राइज रुपया सवा ग्यारह माशे है। सोने चाँदी की ज़कात में वज़न का एअ्तिबार है क़ीमत का लिहाज़ नहीं,मसलन सात तोले सोने या कम का ज़ेवर या बर्तन बना हो कि उसकी कारीगरी की वजह से दो सौ दिरहम से ज़ाइद क़ीमत हो जाये या सोना गिराँ हो कि साढ़े सात तोले से कम की क़ीमत दो सौ दिरहम से बढ़ जाये जैसे आज कल कि साढ़े सात तोले सोने की क़ीमत चाँदी की कई निसाबें होंगी। ग़रज़ यह कि वज़न में ब–क़द्रे निसाब न हो तो ज़कात वाजिब नहीं,क़ीमत जो कुछ भी हो। यूँही सोने की ज़कात में सोने और चाँदी की ज़कात में चाँदी की कोई चीज़ दी तो

उसकी कीमत का एअ्तिबार न होगा बल्कि वज़न का अगर्चे उसमें बहुत कुछ सनअ्त (कारीगरी)हो जिस की वजह से क़ीमत बढ़ गयी या फ़र्ज़ करो दस आने भर चाँदी बिक रही है और ज़कात में एक रुपया दिया जो सोलह आने का क़रार दिया जाता है तो ज़कात अदा करने में वह यही समझा जायेगा कि सवा ग्यारह माशे चाँदी दी यह छह आने बल्कि कुछ ऊपर जो उसकी क़ीमत में ज़ाइद हैं लग़्व (बेकार)हैं। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– यह जो कहा गया कि अदाए ज़कात में क़ीमत का एअ्तिबार नहीं यह उसी सूरत में है कि उस जिन्स की ज़कात उसी जिन्स से अदा की जाये और अगर सोने की ज़कात चाँदी से या चाँदी की सोने से अदा की तो क़ीमत का एअ्तिबार होगा मसलन सोने की ज़कात में चाँदी की कोई चीज़ दी जिसकी क़ीमत एक अशर्फ़ी है तो एक अशर्फ़ी देना क़रार पायेगा अगर्चे वज़न में इसकी चाँदी पन्द्रह रुपये भर भी न हो। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– सोना चाँदी जबकि ब–क़द्रे निसाब हों तो इन की ज़कात चालीसवाँ हिस्सा है ख़्वाह वह वैसे ही हों या इनके सिक्के जैसे रुपये अशर्फ़ियाँ या इनकी कोई चीज़ बनी हुई हो ख़्वाह उसका इस्तेमाल जाइज़ हो जैसे औरत के लिये ज़ेवर मर्द के लिये चाँदी की एक नग की एक अँगूठी साढ़े चार माशे से कम की या सोने चाँदी के बिला ज़न्जीर के बटन, या इस्तेमाल नाजाइज़ हो जैसे चाँदी सोने के बर्तन,घड़ी, सुर्मे दानी, सलाई कि इनका इस्तेमाल मर्द औरत सब के लिये हराम है या मर्द के लिये सोने चाँदी का छल्ला या ज़ेवर या सोने की अँगूठी या साढ़े चार माशे से ज़्यादा चाँदी की अँगूठी या बन्द अँगूठियाँ या कई नग की एक अँगूठी ग़रज़ जो कुछ हो ज़कात सब की वाजिब है मसलन सात तोला सोना है तो दो माशा ज़कात वाजिब है या बावन तोला छह माशा चाँदी है तो एक तोला तीन माशा छह रत्ती ज़कात वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– सोना चाँदी के अलावा तिजारत की कोई चीज़ हो जिसकी क़ीमत सोने चाँदी की निसाब को पहुँचे तो उस पर भी ज़कात वाजिब है यअ्नी क़ीमत का चालीसवाँ हिस्सा,और अगर असबाब की क़ीमत तो निसाब को नहीं पहुँचती मगर उसके पास इनके अलावा सोना चाँदी भी है तो इनकी क़ीमत सोने चाँदी के साथ मिला कर मजमूआ करें (यअ्नी टोटल करें) अगर मजमूआ निसाब को पहुँचा ज़कात वाजिब है और असबाबे तिजारत की क़ीमत उस सिक्के से लगायें जिसका रिवाज वहाँ ज़्यादा हो जैसे,हिन्दुस्तान में रुपये का ज़्यादा चलन है इसी से क़ीमत लगाई जाये और अगर कहीं सोने–चाँदी दोनों के सिक्कों का यकसाँ चलन हो तो इख़्तियार है जिससे चाहें क़ीमत लगायें मगर जबकि रुपये से क़ीमत लगायें तो निसाब नहीं होती और अशर्फ़ी से हो जाती है या बिल अक्स (यअ्नी इसका उल्टा) तो उसी से क़ीमत लगाई जाये जिससे निसाब पूरी हो और अगर दोनों से निसाब पूरी होती है मगर एक से निसाब के अलावा निसाब का पाँचवा हिस्सा ज़्यादा होता है दूसरे से नहीं तो उस से क़ीमत लगायें जिस से एक निसाब और निसाब का पाँचवाँ हिस्सा हो। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– निसाब से ज़्यादा माल है तो अगर यह ज़्यादती निसाब का पाँचवाँ हिस्सा है तो इसकी ज़कात भी वाजिब है मसलन दो सौ चालीस दिरहम यअ्नी 63 तोला चाँदी हो तो ज़कात में छह दिरहम वाजिब यअ्नी एक तोला छह माशा $7\frac{1}{5}$ रत्ती यअ्नी बावन तोला छह माशा के बअ्द हर 10 तोला 6 माशा पर 3 माशा $1\frac{1}{5}$ रत्ती बढ़ायें और सोना नौ तोला हो तो 2 माशा $5\frac{3}{5}$ रत्ती यअ्नी 7 तोला 6 माशा के बअ्द हर एक तोला 6 माशा पर $3\frac{3}{5}$ रत्ती बढ़ायें और पाँचवाँ हिस्सा न हो तो

माफ़ यानी मसलन नौ तोला से एक रत्ती कम अगर सोना है तो ज़कात वही 7 तोला 6 माशा की वाजिब है यअ्नी दो माशा **यूँही** चाँदी अगर 63 तोला से एक रत्ती भी कम है तो ज़कात वही 52 तोला 6 माशा की एक तोला 3 माशा 6 रत्ती वाजिब **यूँही** पाँचवें हिस्से के बअ्द जो ज़्यादती है अगर वह भी पाँचवाँ हिस्सा है तो उसका चालीसवाँ हिस्सा वाजिब वरना मुआफ़ और इसी तरह आगे समझ लें। माले तिजारत का भी यही हुक्म है।(दुर्रे मुख़्तार) 1माशा 8रत्ती 922 मिलीग्राम लगभग।

मसअ्ला :– अगर सोने चाँदी में खोट हो और ग़ालिब सोना चाँदी है तो सोना चाँदी क़रार दें और कुल पर ज़कात वाजिब है यूँही अगर खोट सोने चाँदी के बराबर हो तो ज़कात वाजिब और अगर खोट ग़ालिब हो तो सोना चाँदी नहीं फिर उसकी चन्द सूरतें है अगर उसमें सोना चाँदी इतनी मिक़दार में हो कि जुदा करें तो निसाब को पहुँच जाये या वह निसाब को नहीं पहुँचता मगर उस के पास और माल है कि उस से मिलकर निसाब हो जायेगी या वह समन (क़ीमत के बदले दिये जाने वाले माल या पैसे) में चलता है और उसकी क़ीमत निसाब को पहुँचती है तो इन सब सूरतों में ज़कात वाजिब है और अगर इन सूरतों में कोई न हो तो उस में अगर तिज़ारत की नियत हो तो बशराइते तिजारत उसे माले तिजारत क़रार दें और उसकी क़ीमत निसाब की क़द्र हो ख़ुद या औरों के साथ मिलकर तो ज़कात वाजिब हैं वरना नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– सोने चाँदी को बाहम ख़ल्त कर दिया यअ्नी एक दूसरे में मिला दिया तो अगर सोना ग़ालिब हो सोना समझा जाये और दोनों बराबर हों और सोना ब क़द्रे निसाब है तन्हा या चाँदी के साथ मिलकर जब भी सोना समझा जाये और चाँदी ग़ालिब हो तो चाँदी है,निसाब को पहुँचे तो चाँदी की ज़कात दी जाये मगर जबकि उसमें जितना सोना है वह चाँदी की क़ीमत से ज़्यादा है तो अब भी कुल सोना ही क़रार दें। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– किसी के पास सोना भी है और चाँदी भी और दोनों की कामिल निसाबें हैं तो यह ज़रूर नहीं कि सोने को चाँदी या चाँदी को सोना क़रार दे कर ज़कात अदा करे बल्कि हर एक की ज़कात अलाहिदा–अलाहिदा वाजिब है। हाँ ज़कात देने वाला अगर सिर्फ़ एक चीज़ से दोनों निसाबों की ज़कात अदा करे तो उसे इख़्तियार है मगर इस सूरत में यह वाजिब होगा कि क़ीमत वह लगाये जिस में फ़क़ीरों का ज़्यादा नफ़ा है मसलन हिन्दुस्तान में रुपये का चलन ब–निस्बत अशर्फ़ियों के ज़्यादा है तो सोने की क़ीमत चाँदी से लगा कर चाँदी ज़कात में दे और अगर दोनों में से कोई ब–क़द्रे निसाब नहीं तो सोने की क़ीमत चाँदी या चाँदी की क़ीमत का सोना फ़र्ज़ कर के मिलायें फिर अगर मिलाने पर भी निसाब नहीं होती तो कुछ नहीं और अगर सोने की क़ीमत की चाँदी में मिलायें तो निसाब हो जाती है और चाँदी की क़ीमत का सोना सोने में मिलायें तो नहीं होती या बिलअक्स (यअ्नी इसका उल्टा है)तो वाजिब है कि जिस में निसाब पूरी हो वह करें और अगर दोनों सूरत में निसाब हो जाती है तो इख़्तियार है जो चाहें करें मगर जबकि एक सूरत में निसाब पर पाँचवाँ हिस्सा बढ़ जाये वही करना वाजिब है मसलन सवा छब्बीस तोले चाँदी है और पौने चार तोले सोना अगर पौने चार तोले सोने की चाँदी सवा छब्बीस तोले आती है और सवा छब्बीस तोले चाँदी का पौने चार तोले सोना आता है तो सोने को चाँदी या चाँदी को सोना जो चाहें तसव्वुर करें और अगर पौने चार तोले सोने के बदले 37 तोले आती है और सवा छब्बीस तोले चाँदी का पौने चार तोले सोना नहीं मिलता तो वाजिब है कि सोने को चाँदी क़रार दें कि इस सूरत में निसाब हो जाती है

बल्कि पाँचवाँ हिस्सा ज़्यादा होता है और उस सूरत में निसाब भी पूरी नहीं होती यूँही अगर हर एक कि निसाब से कुछ ज़्यादा है तो अगर ज़्यादती निसाब का पाँचवाँ हिस्सा है तो इसकी भी ज़कात दें और अगर हर एक में ज़्यादती पाँचवाँ हिस्सा निसाब से कम है तो दोनों को मिलायें अगर मिल कर भी किसी की निसाब का पाँचवाँ हिस्सा नहीं होता तो इस ज़्यादती पर कुछ नहीं और अगर दोनों में निसाब या निसाब का पाँचवाँ हो तो इख़्तियार है मगर जबकि एक में निसाब हो और दूसरे में पाँचवाँ हिस्सा तो वह करें जिसमें निसाब हो और अगर एक में निसाब या पाँचवाँ हिस्सा होता है और दूसरे में नहीं तो वही करना वाजिब है जिससे निसाब हो या निसाब का पाँचवाँ हिस्सा।(दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– पैसे जब राइज हों और दो सौ दिरहम चाँदी या बीस मिस्क़ाल सोने की क़ीमत के हों तो उनकी ज़कात वाजिब है अगर्चे तिजारत के लिए न हों और अगर चलन उठ गया हो तो जब तक तिजारत के लिए न हों ज़कात वाजिब नहीं। (फ़तावा कारी, अल हिदाया) नोट की ज़कात भी वाजिब है जब तक उनका रिवाज और चलन हो कि यह भी समने इस्तिलाही (जो चीज़ समन की तरह चलन में हो जैसे करन्सी)हैं और पैसों के हुक्म में है।

मसअ्ला :– जो माल किसी पर दैन हो उसकी ज़कात कब वाजिब होती है और अदा कब वाजिब है इस में तीन सूरतें हैं अगर **दैन क़वी** हो जैसे क़र्ज़ जिसे उर्फ़ में दस्तगरदाँ (क़र्ज़ ही के मअ्ना में आया है) कहते हैं और माले तिजारत का समन मसलन कोई माल इसने ब–नियते तिजारत ख़रीदा उसे किसी के हाथ उधार बेच डाला या माले तिजारत का किराया मसलन कोई मकान या ज़मीन ब–नियते तिजारत ख़रीदी उसे किसी को सुकूनत या खेती के लिए किराये पर दे दिया यह किराया अगर उस पर दैन है तो दैने क़वी होगा और दैने क़वी की ज़कात ब–हालते दैन ही साल–ब–साल वाजिब होती रहेगी मगर वाजिबुल अदा उस वक़्त है जब पाँचवाँ हिस्सा निसाब का वुसूल हो जाये मगर जितना वुसूल हुआ उतने ही की वाजिबुल अदा है यअ्नी चालीस दिरहम होने से एक दिरहम देना वाजिब होगा और अस्सी वुसूल हुए तो दो और इसी तरह आगे समझ लें **दूसरे दैने मुतवस्सित** कि किसी माले ग़ैरे तिजारती का बदल हो मसलन घर का ग़ल्ला या सवारी का घोड़ा या ख़िदमत का गुलाम या और कोई शय हाजते असलिया की बेच डाली और दाम ख़रीदार पर बाक़ी हैं इस सूरत में ज़कात देना उस वक़्त लाज़िम आयेगा कि दो सौ दिरहम पर क़ब्ज़ा हो जाये। यूँही अगर मूरिस(वह मरने वाला जो माल और वारिस छोड़ जाये)का दैन इसे तर्के में मिला अगर्चे माले तिजारत का एवज़(बदल)हो मगर वारिस को दो सौ दिरहम वुसूल होने और मूरिस की मौत को साल गुज़रने पर ज़कात देना लाज़िम आयेगा। **तीसरे दैने ज़ईफ़** जो ग़ैरे माल का बदल हो जैसे महरे बदल, ख़ुला(तलाक़ पर मिला रुपया)दियत (क़त्ल के बदले मिला जुर्माना)बदले किताबत (गुलामी से आज़ाद करने पर मिला रुपया)या मकान या दुकान कि ब–नियते तिजारत ख़रीदी न थी उसका किराया किरायेदार पर चढ़ा इसमें ज़कात देना उस वक़्त वाजिब है कि निसाब पर क़ब्ज़ा करने के बअ्द साल गुज़र जाये या इसके पास कोई निसाब उस जिन्स की है और उसका साल पूरा हो जाये तो ज़कात वाजिब है फिर अगर दैन या मुतवस्सित कई साल के बअ्द वुसूल हो तो अगले साल की ज़कात जो इसके ज़िम्मे दैन होती रही वह पिछले साल के हिसाब में इसी रक़म पर डाली जायेगी मसलन उम्र पर ज़ैद के तीन सौ दिरहम दैने क़वी थे पाँच बरस बअ्द चालीस दिरहम से कम वुसूल हुए तो कुछ नहीं और चालीस वुसूल हुए तो एक दिरहम देना वाजिब हुआ

अब उन्तालीस बाक़ी रहे कि निसाब के पाँचवें हिस्से से कम हैं लिहाज़ा बाक़ी बरसों की अभी वाजिब नहीं और अगर तीन सौ दिरहम दैने मुतवस्सित थे तो जब तक दो सौ दिरहम वुसूल न हों कुछ नहीं और पाँच बरस बाद दो सौ वुसूल हुए तो इक्कीस वाजिब होंगे। साले अव्वल के पाँच अब साले दोम में एक सौ पचानवे रहे, इनमें से पैंतीस कि पाँचवें हिस्से से कम हैं माफ़ हो गये एक सौ साठ रहे,इसके चार दिरहम वाजिब। लिहाज़ा तीसरे साल में एक सौ इक्यानवे रहे इनमें भी चार दिरहम वाजिब चहारुम में एक सौ सतासी रहे पन्जुम में एक सौ तिरासी रहे इनमें भी चार–चार दिरहम वाजिब लिहाज़ा कुल इक्कीस दिरहम वाजिबुल अदा हुए। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– अगर दैन से पहले साले निसाब रवाँ था यअ्नी जारी था तो जो दैन अस्नाए साल में यअ्नी साल के बीच में किसी पर लाज़िम आया इसका साल भी वही क़रार दिया जायेगा जो पहले से चल रहा है वक़्ते दैन से नहीं और अगर दैन से पहले इस जिन्स की निसाब का साले रवाँ नहीं तो वक़्त दैन से शुमार होगा। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– किसी पर दैन क़वी या मुतवस्सित है और क़र्ज़ ख़्वाह का इन्तेक़ाल हो गया तो मरते वक़्त इस दैन की ज़कात की वसीयत ज़रूरी नहीं कि इसकी ज़कात वाजिबुल अदा थी ही नहीं और वारिस पर ज़कात उस वक़्त होगी जब मूरिस की मौत को एक साल गुज़र जाये और चालीस दिरहम दैने क़वी में और दो सौ दिरहम दैने मुतवस्सित में वुसूल हो जायें। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– साल पूरा होने के बाद दाइन (क़र्ज़ देने वाले)ने दैन माफ़ कर दिया या साल पूरा होने से पहले ज़कात का माल हिबा कर दिया तो ज़कात साक़ित हो गयी। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औरत ने महर का रुपया वुसूल कर लिया साल गुज़रने के बाद शौहर ने क़ब्ले दुख़ूल(जिमा से पहले) तलाक़ दे दी तो निस्फ़ महर वापस करना होगा और ज़कात पूरे की वाजिब है और शौहर पर वापसी के बाद से साल का एअ्तिबार है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने यह इक़रार किया कि फ़लाँ का मुझ पर दैन है और उसे दे भी दिया फिर साल भर बाद दोनों ने कहा दैन न था तो किसी पर ज़कात वाजिब न हुई (आलमगीरी)मगर ज़ाहिर यह है कि यह उस सूरत में है जबकि इसके ख़्याल में दैन हो वरना अगर महज़ ज़कात साक़ित करने के लिये यह हीला (बहाना)किया तो इन्दल्लाह यअ्नी अल्लाह के नज़दीक मुआख़ज़ा (पकड़) का मुस्तहक़ है।

मसअ्ला :– माले तिजारत में साल गुज़रने पर जो क़ीमत होगी उसका एअ्तिबार है मगर शर्त यह है कि शुरूअ् साल में उसकी क़ीमत दो सौ दिरहम से कम न हो और अगर मुख़्तलिफ़ क़िस्म के असबाब हों तो सब की क़ीमतों का मजमूआ साढ़े बावन तोले चाँदी या साढ़े सात तोले सोने की क़द्र हो।(आलमगीरी)यअ्नी जबकि उसके पास यही माल हो और अगर उसके पास सोने चाँदी इसके अलावा हों तो उसे मिला लेंगे।

मसअ्ला :– ग़ल्ला या कोई माले तिजारत साल पूरा होने पर दो सौ दिरहम का है फिर नर्ख़ (भाव)बढ़–घट गया तो अगर इसी में से ज़कात देना चाहें तो जितना उस दिन यअ्नी घटने–बढ़ने के दिन था उसका चालीसवाँ हिस्सा दे दें और अगर इस क़ीमत की कोई और चीज़ देना चाहें तो वह क़ीमत ली जाये जो साल पूरा होने के दिन थी और अगर वह चीज़ साल पूरा होने के दिन तर यअ्नी गीली थी अब ख़ुश्क हो गयी जब भी वही क़ीमत लगायें जो उस दिन थी यअ्नी साल पूरा होने के दिन और अगर उस रोज़ ख़ुश्क थी अब भीग गयी तो आज की क़ीमत लगायें। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– कीमत उस जगह की होनी चाहिये जहाँ माल है और अगर माल जंगल में हो तो उस के करीब जो आबादी है वहाँ जो कीमत हो उस का एअ्तिबार है। (आलमगीरी) ज़ाहिर यह है कि यह उस माल में है जिस की जंगल में ख़रीदारी न होती हो और अगर जंगल में ख़रीदा जाता हो जैसे लकड़ी और वह चीज़ें जो वहाँ पैदा होती हैं तो जब तक माल वहाँ पड़ा है वहीं की कीमत लगाई जाये।

मसअ्ला :– किराये पर उठाने के लिए देते हों उनकी ज़कात नहीं। यूँही किराये के मकान की।(आलमगीरी)

मसअ्ला : – घोड़े की तिजारत करता है झूल और लगाम और रस्सियाँ वग़ैरा इसलिये ख़रीदीं कि घोड़ों की हिफ़ाज़त में काम आयेंगी तो इनकी ज़कात नहीं और अगर इसलिये ख़रीदीं कि घोड़े इनके समेत बेचे जायेंगे तो इनकी भी ज़कात दे। नानबाई ने रोटी पकाने के लिये लकड़ियाँ ख़रीदीं या रोटी में डालने को नमक ख़रीदा तो इनकी ज़कात नहीं और रोटी पर छिड़कने को तिल ख़रीदे तो तिलों की ज़कात वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने अपना मकान तीन साल के लिए तीन सौ दिरहम साल के किराये पर दिया और उसके पास कुछ नहीं है और जो किराये में आता है सब को महफ़ूज़ रखता है तो आठ महीने गुज़रने पर निसाब का मालिक हो गया कि आठ माह में दो सौ दिरहम किराये के हुए। लिहाज़ा आज से ज़कात का साल शुरूअ् होगा और साल पूरा होने पर पाँच सौ दिरहम की ज़कात दे कि बीस माह का किराया पाँच सौ हुआ अब उसके बाद एक साल और गुज़रा तो आठ सौ की ज़कात दे मगर पहले साल की ज़कात के साढ़े बारह दिरहम कम किये जायें (आलमगीरी) बल्कि आठ सौ में चालीस कम की ज़कात वाजिब होगी कि चालीस से कम की ज़कात नहीं बल्कि अफ़्व (माफ़) है।

मसअ्ला :– एक शख़्स के पास सिर्फ़ एक हज़ार दिरहम हैं और कुछ माल नहीं। उसने सौ दिरहम सालाना किराये पर दस साल के लिये मकान लिया और वह कुल रुपये मालिके मकान को दे दिए तो पहले साल में तो नौ सौ की ज़कात दे कि सौ किराये में गए। दूसरे साल आठ सौ की बल्कि पहले साल की ज़कात के साढ़े बाइस दिरहम आठ सौ में से कम कर के बाकी की ज़कात दे। इसी तरह हर साल में सौ रुपये और पिछले साल की ज़कात के रुपये कम कर के बाकी की ज़कात इसके ज़िम्मे है और मालिके मकान के पास भी अगर इस किराये के हज़ार के सिवा कुछ न हो तो दो साल तक कुछ नहीं। दो साल गुज़रने पर अब दो सौ का मालिक हुआ। तीन बरस पर तीन सौ की ज़कात दे। यूँही हर साल सौ दिरहम की ज़कात बढ़ती जायेगी मगर अगली बरसों की ज़कात की मिक़दार कम करने के बाद बाकी की ज़कात वाजिब होगी। सूरते मज़कूरा में अगर उस कीमत की कनीज़ किराए में दी तो किरायेदार पर कुछ वाजिब नहीं और मालिके मकान पर उसी तरह वुजूब है जो दिरहम की सूरत में है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– तिजारत के लिए गुलाम कीमती दो सौ दिरहम का दो सौ में ख़रीदा और कीमत बेचने वाले को दे दी मगर गुलाम पर कब्ज़ा न किया यहाँ तक कि एक साल गुज़र गया अब वह बेचने वाले के यहाँ मर गया तो बेचने वाले और ख़रीदार दोनों पर दो–दो सौ की ज़कात वाजिब है और अगर गुलाम दो सौ दिरहम से कम कीमत का था और ख़रीदार ने दो सौ पर लिया तो बेचने वाला दो सौ की ज़कात दे और ख़रीदार पर कुछ नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– ख़िदमत का ग़ुलाम हज़ार रुपये में बेचा और क़ीमत पर क़ब्ज़ा कर लिया साल भर बअ़द वह गुलाम ऐबदार निकला इस बिना पर वापस हुआ क़ाज़ी ने वापसी का हुक्म दिया हो या इसने ख़ुद अपनी ख़ुशी से वापस ले लिया हो हज़ार की ज़कात दे। (आलमगीरी)

मसअला :– रुपये के एवज़ खाना ग़ल्ला कपड़ा वग़ैरा फ़क़ीर को देकर मालिक कर दिया तो ज़कात अदा हो जायेगी मगर उस चीज़ की क़ीमत जो बाज़ार भाव से होगी वह ज़कात में समझी जायेगी बाहरी ख़र्चे मसलन बाज़ार से लाने में जो मज़दूर को दिया है या गाँव से मंगवाया तो किराया और चुंगी कम न करेंगे या पकवा कर दिया तो पकवाई या लकड़ियों की क़ीमत मुजरा न करें। बल्कि इस पकी हुई चीज की जो क़ीमत बाज़ार में हो उस का एअ़तिबार है। (आलमगीरी)

आशिर का बयान

मसअला :– आशिर उसको कहते हैं जिसे बादशाहे इस्लाम ने रास्ते पर मुक़र्रर कर दिया हो कि ताजिर जो माल लेकर गुज़रे उनसे स़दक़ात वुसूल करे। आशिर के लिये शर्त यह है कि मुसलमान हुर (आज़ाद यअ़नी ग़ुलाम न हो) ग़ैरे हाशिमी हो ,चोर और डाकूओं से माल की हिफ़ाज़त पर क़ादिर हो। (बहर)

मसअला :– जो राहगीर यह कहे कि मेरे इस माल पर और घर में जो मौजूद है किसी पर साल नहीं गुज़रा या कहता है कि मैंने इस में तिजारत की नियत नहीं की या कहे यह मेरा माल नहीं बल्कि मेरे पास अमानत या ब–तौरे मुज़ारबत (साझेदारी का) है ब–शर्ते कि उस में इतना नफ़ा न हो कि इस का हिस्सा निसाब को पहुँच जाये या अपने को मज़दूर या मुकातिब या माज़ून बताये या इतना ही कहे कि इस माल पर ज़कात नहीं अगर्चे वजह न बताये या कहे मुझ पर दैन है जो माल के बराबर है या इतना है कि उसे निकालें तो निसाब बाक़ी न रहे या कहे दूसरे आशिर को दे दिया है और जिस को देना बताता है वाक़ेअ़ में वह आशिर है और इस आशिर को भी उस का आशिर होना मअ़लूम हो या कहे शहर में फ़क़ीरों को ज़कात दे दी और अपने बयान पर हलफ़ करे यअ़नी क़सम खाये तो उसका क़ौल मान लिया जायेगा इसकी कुछ ज़रूरत नहीं कि उससे रसीद माँगें कि रसीद कभी जाली होती है और कभी ग़लती से रसीद नहीं ली जाती और कभी गुम हो जाती है और अगर रसीद पेश की और उसमें उस आशिर का नाम नहीं जिसे इसने बताया जब भी हलफ़ लेकर उस का क़ौल मान लेंगे और अगर चन्द साल गुज़रने पर मअ़लूम हुआ कि उसने झूट कहा था तो अब उससे ज़कात ली जायेगी (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अगर इस माल पर साल नहीं गुज़रा मगर उसके मकान पर जो माल है उस पर साल गुज़र गया है और इस माल को उस माल के साथ मिला सकते हों तो उस का क़ौल नहीं माना जायेगा। यूँही अगर ऐसे आशिर को देना बतायें जो इसे मालूम नहीं या कहे किसी बदमज़हब को ज़कात दे दी या कहे शहर में फ़क़ीर को नहीं दी बल्कि शहर से बाहर जाकर दी तो इन सब सूरतों में उसका क़ौल न माना जाये। (दुर्रे मुख़्तार ,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– साइमा और अमवाले बातिना (छुपे हुए मालों)में उस का क़ौल नहीं माना जायेगा और जिन उमूर (बातों)में मुसलमान का क़ौल माना जाता है ज़िम्मी काफ़िर का भी मान लिया जायेगा मगर उस सूरत में कि शहर में फ़क़ीर को देना बताये तो इसका क़ौल मोअ़तबर नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– हर्बी काफ़िर का क़ौल बिल्कुल मोअ़तबर नहीं अगर्चे जो कुछ कहता है उस पर गवाह

पेश करे, और अगर कनीज़ को उम्मे वलद बताये या गुलाम को अपना लड़का कहे और उसकी उम्र इस काबिल हो कि यह उसका लड़का हो सकता है या कहे मैंने दूसरे को दे दिया है और जिसे बताया है वह वहाँ मौजूद है तो इस उमूर में हर्बी का भी कौल मान लिया जाये।(दुर्रे मुख़्तार रदुल मुहतार)

मसअ्ला :– जो शख़्स दो सौ दिरहम से कम का माल लेकर गुज़रा तो आशिर उस से कुछ न लेगा ख़्वाह वह मुसलमान हो या ज़िम्मी या हर्बी ख़्वाह उसके घर में और माल होना मअ्लूम हो या नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुसलमान से चालीसवाँ हिस्सा लिया जाये व ज़िम्मी से बीसवाँ और हर्बी से दसवाँ हिस्सा (तन्वीर) हर्बी से दसवाँ हिस्सा लेना उस वक़्त है जब मअ्लूम न हो कि हर्बियों ने मुसलमानों से कितना लिया था और अगर मअ्लूम हो तो जितना उन्होंने लिया मुसलमान भी हर्बियों से उतना ही लें मगर हर्बियों ने अगर मुसलमानों का कुल माल ले लिया हो तो मुसलमान कुल न लें बल्कि इतना छोड़ दें कि अपने ठिकाने पहुँच जायें और अगर हर्बियों ने मुसलमानों से कुछ न लिया तो मुसलमान भी कुछ न लें।(दुर्रे मुख़्तार रदुल मुहतार)

मसअ्ला :– एक बार जब हर्बी से लिया तो दो बारा उस साल में न लें मगर जब लेने के बअ्द दारूलहरब को वापस गया और अब फिर दारुलहरब से आया तो दोबारा लेंगे। (तन्वीरूल अबसार)

मसअ्ला :– हर्बी दारुलइस्लाम में आया और वापस गया मगर आशिर को ख़बर न हुई फिर दोबारा दारुलहरब से आया तो पहली मरतबा का न लें और अगर मुसलमान या ज़िम्मी के आने और जाने की ख़बर न हुई और अब दोबारा आया तो पहली बार का लेंगे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– माज़ून के साथ अगर उसका मालिक भी है और उस माज़ून पर इतना दैन नहीं जो ज़ात व माल को मुस्तग़रक़ (घेरे हुए)हो तो आशिर उस से लेगा। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :–आशिर के पास ऐसी चीज़ लेकर गुज़रा जो जल्द ख़राब होने वाली है जैसे मेवा,तरकारी ख़रबूज़ा, तरबूज़, दूध वग़ैरा अगर्चे इनकी क़ीमत निसाब की क़द्र हो मगर उश्र न लिया जाये, हाँ अगर वहाँ फुक़रा मौजूद हों तो लेकर फुक़रा को बाँट दे (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– आशिर ने माल ज़्यादा ख़्याल कर के ज़कात ली फिर मअ्लूम हुआ कि इतने का माल न था तो जितना ज़्यादा लिया है साले आइन्दा में महसूब (शुमार) होगा और अगर क़स्दन ज़्यादा लिया तो यह ज़कात में महसूब न होगा कि ज़ुल्म है। (ख़ानिया)

कान और दफ़ीना का बयान

हदीस :– सही बुख़ारी व सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते है रुकाज़ (कान)में ख़ुम्स (पाँचवाँ हिस्सा) है।

मसअ्ला :– कान से लोहा, सीसा ,ताँबा,पीतल,सोना चाँदी निकले उस में ख़ुम्स(पाँचवाँ हिस्सा) लिया जायेगा और बाक़ी पाने वाले का है ख़्वाह वह पाने वाला आज़ाद हो या गुलाम मुसलमान हो या ज़िम्मी मर्द हो या औरत बालिग़ हो या नाबालिग़ वह ज़मीन जिस से यह चीज़ें निकलें उ़श्री हो याख़िराजी (आलमगीरी) यह उस सूरत में है कि ज़मीन किसी शख़्स की मिल्कियत न हो मसलन जंगल हो या पहाड़ और अगर मिल्कियत है तो कुल मालिके ज़मीन को दिया जाये ख़ुम्स भी न लिया जाये।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– फ़ीरोज़ा,याक़ूत व ज़ुमुर्रद व दूसरे जावाहिर और सुर्मा,फिटकरी,चूना, मोती में और नमक

वग़ैरा बहने वाली चीज़ों में ख़ुम्स नहीं। (दुर्रे मुख़्तार ,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मकान या दुकान में कान निकली तो ख़ुम्स न लिया जाये बल्कि कुल मालिक को दिया जाये। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– फ़ीरोज़ा,याक़ूत ज़ुमुर्रद वग़ैरा जवाहिर सल्तनते इस्लाम से पहले के दफ़न थे और अब निकले तो ख़ुम्स लिया जायेगा कि यह माले ग़नीमत है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मोती और उसके अ़लावा जो कुछ दरिया से निकले अगर्चे सोना कि पानी की तह में था सब पाने वाले का है बशर्ते कि उसमें कोई इस्लामी निशानी न हो। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जिस दफ़ीना यअ्नी ज़मीन में गड़े हुए माल में इस्लामी निशानी पाई जाये ख़्वाह वह नक़द हो या हथियार या ख़ानादारी के सामान यअ्नी रोज़मर्रा की ज़रूरत के इस्तेमाली सामान वग़ैरा वह पड़े माल के हुक्म में है यअ्नी मस्जिदों, बाज़ारों में उसका एलान इतने दिनों तक करें कि ग़ालिब गुमान हो जाये अब इस का तलाश करने वाला न मिलेगा फिर मसाकीन को दे दे और खुद फ़क़ीर हो तो अपने सर्फ़ में लाये और अगर उस में कुफ़्र की अ़लामत हो मसलन बुत की तस्वीर हो या काफ़िर बादशाह का नाम उस पर लिखा हो उसमें से ख़ुम्स लिया जाये बाक़ी पाने वालों को दिया जाये ख़्वाह अपनी ज़मीन में पाये या दूसरे की ज़मीन में या मुबाह ज़मीन में। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– हर्बी काफ़िर ने दफ़ीना निकाला तो उसे कुछ न दिया जाये और जो उसने ले लिया है वापस लिया जाये हाँ अगर बादशाहे इस्लाम के हुक्म से खोद कर निकाला तो जो ठहरा है वह देंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– दफ़ीना निकालने में दो शख़्सों ने काम किया तो ख़ुम्स के बाद बाक़ी उसे देंगे जिसने पाया अगर्चे दोनों ने शिरकत के साथ काम किया है कि यह शिरकत फ़ासिद है और अगर शिरकत की सूरत में दोनों ने पाया और यह नहीं मअ्लूम कि कितना किसने पाया तो निस्फ़–निस्फ़ (आधे–आधे)के शरीक हैं और इस सूरत में अगर एक ने पाया और दूसरे ने मदद की तो वह पाने वाले का है और मददगार को काम की मज़दूरी दी जायेगी और अगर दफ़ीना निकालने पर मज़दूर रखा तो जो बरामद होगा मज़दूर को मिलेगा। मुसताजिर(उजरत पर काम कराने वाला जैसे ठेकेदार)को कुछ नहीं कि यह इजारए फ़ासिदा है यानी यह जो उजरत पर लेन–देन होगा वह फ़ासिद यअ्नी बेकार है उसकी कोई अहमियत नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– दफ़ीना में न इस्लामी अ़लामत है न कुफ़्र की तो ज़मानए कुफ़्र का क़रार दिया जाये।

मसअ्ला :– सहराए दारुलहरब में से जो कुछ निकाला मअ्दनी हो यअ्नी कान से हो या दफ़ीना इस में ख़ुम्स नहीं बल्कि कुल पाने वाले को मिलेगा और अगर बहुत से लोग ब–तौरे ग़लबा के निकाल लाये तो उसमें ख़ुम्स लिया जायेगा कि यह ग़नीमत है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मुसलमान दारुलहरब में अमन लेकर गया और वहाँ किसी की ममलूक ज़मीन से ख़ज़ाना या कान निकाली तो मालिके ज़मीन को वापस दे अगर वापस न किया बल्कि दारुलइस्लाम में ले आया तो यही मालिक है मगर मिल्के ख़बीस यअ्नी पाक मिल्क नहीं है लिहाज़ा सदक़ा करे और बेचडाला तो बय़(बेचना)सही है, मगर ख़रीदार के लिए भी ख़बीस है और अगर अमान लेकर नहीं गया था तो यह माल उसके लिये हलाल है न वापस करे न इसमें ख़ुम्स लिया जाये। (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– खुम्स मसाकीन का हक़ है कि बादशाहे इस्लाम उन पर सर्फ़ (ख़र्च)करे और अगर इस में ब–तौरे खुद मसाकीन को दे दिया जब भी जाइज़ है बादशाहे इस्लाम को ख़बर पहुँचे तो उसे बरक़रार रखे और तसर्रुफ़ को नाफ़िज़ कर दे और अगर यह खुद मिस्कीन है तो ब–क़द्रे हाजत अपने सर्फ़ में ला सकता है और अगर ख़ुम्स निकालने के बाद बाक़ी दो सौ दिरहम की क़द्र है तो ख़ुम्स अपने सर्फ़ में नहीं ला सकता कि अब यह फ़क़ीर नहीं, हाँ अगर मदयून (क़र्ज़दार)हो कि दैन निकालने के बाद दो सौ दिरहम की क़द्र बाक़ी नहीं रहता तो ख़ुम्स अपने सर्फ़ में ला सकता है और अगर माँ–बाप या औलाद जो मसाकीन हैं उन को ख़ुम्स दे दे तो यह भी जाइज़ है। (दुर्रे मुख़्तार)

ज़राअ़त और फ़लों की ज़कात

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है :–

وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ

तर्जमा : " खेती कटने के दिन उसका हक़ अदा करो"।

हदीस न.1 :– सही बुख़ारी शरीफ़ में इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जिस ज़मीन को आसमान या चश्मों ने सैराब किया या उ़श्री हो यअ़्नी नहर के पानी से उसे सैराब करते हों उसमें उ़श्र है और जिस ज़मीन के सैराब करने के लिये जानवर पर पानी लाद कर लाते हों उसमें निस्फ़ उ़श्र यअ़्नी बीसवाँ हिस्सा।

हदीस न.2 :– इब्ने नज्जार अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि हर उस शय (चीज़)में जिसे ज़मीन ने निकाला उ़श्र या निस्फ़ (आधा) उ़श्र है।

मसाइले फ़िक़्हिय्या

ज़मीन की तीन क़िस्मे हैं :– **1. उ़श्री 2. ख़िराजी 3. न उ़श्री न ख़िराजी।** पहली और तीसरी दोनों का हुक्म एक है यानी उ़श्र देना, हिन्दुस्तान में मुसलमानों की ज़मीनें ख़िराजी न समझी जायेंगी जब तक किसी ख़ास ज़मीन की निस्बत ख़िराजी होना दलीले शरई से साबित न हो ले। उ़श्री होने की बहुत सी सूरतें हैं मसलन मुसलमानों ने फ़तह किया और ज़मीन मुजाहिदीन जिहाद करने वाले)पर तक़सीम हो गयी या वहाँ के लोग खुद ब–खुद मुसलमान हो गये जंग की नौबत न आई या उ़श्री ज़मीन के क़रीब पड़ती थी उसे काश्त (खेती के काम)में लाया या उस पड़ती को खेत बनाया जो उ़श्री व ख़िराजी दोनों से क़ुर्ब व बोअ़्द (नज़दीकी और दूरी)की यकसाँ निस्बत रखती है या उस खेत को उ़श्री पानी से सैराब किया या ख़िराजी व उ़श्री दोनों से या मुसलमान ने अपने मकान को बाग़ या खेत बना लिया और उ़श्री पानी से सैराब करता है या उ़श्री व ख़िराजी दोनों से या उ़श्री ज़मीन काफ़िरे ज़िम्मी ने ख़रीदी मुसलमान ने शुफ़आ़ में उसे ले लिया या बय़ फ़ासिद हो गयी या ख़ियारे शर्त या ख़ियारे रूयत की वजह से वापस हुई या ख़ियारे ऐब की वजह से क़ाज़ी के हुक्म से वापस हुई और बहुत सूरतों में ख़िराजी है मसलन फ़तह कर के वहीं वालों को एहसान के तौर पर वापस दिया दूसरे काफ़िरों को दे दी या वह मुल्क सुलह के तौर पर फ़तह किया गया या ज़िम्मी ने मुसलमान से उ़श्री ज़मीन ख़रीद ली या ख़िराजी ज़मीन मुसलमान ने ख़रीदी या ज़िम्मी ने बादशाहे इस्लाम के हुक्म से बन्जर को आबाद किया या बन्जर ज़मीन ज़िम्मी को दे दी

गयी या उसे मुसलमान ने आबाद किया और वह ख़िराजी ज़मीन के पास थी या उसे ख़िराजी पानी से सैराब किया। ख़िराजी ज़मीन अगर्चे उ़श्री पानी से सैराब की जाये ख़िराजी ही रहेगी और ख़िराजी व उ़श्री दोनों न हों मसलन मुसलमानों ने फ़तह कर के अपने लिये क़ियामत तक के लिए बाक़ी रखी या उस ज़मीन के मालिक मर गये और ज़मीन बैतुलमाल की मिल्क हो गई।

नोट :– **ख़ियारे शर्त** वह क़रार है जिसमें शर्त हो यानी क़रार के साथ कोई शर्त लगी हो **ख़ियारे रूयत** वह क़रार है जिसमें देखने की शर्त हो यअ़नी क़रार तो हो गया मगर ख़रीदार ने कहा कि मैं माल को देखूँगा। **ख़ियारे ऐब** वह क़रार है जो माल के ऐब की वजह से ख़त्म भी हो सकता है शुफ़आ का मतलब यह है कि शरीअ़त में यह क़ानून है कि जो ज़मीन बिकती हो उस पर पड़ोसी का पहला हक़ है और वह ज़मीन उस को बेची जाये इसे शुफ़आ में लेना कहेंगे पहले हिन्दुस्तान में भी यह क़ानून था अब ख़त्म् हो गया।

मसअला :– ख़िराज की दो क़िस्म हैं:– 1.**ख़िराजे मुक़ासमा** कि पैदावर का कोई हिस्सा आधा या तिहाई या चौथाई वग़ैरा मुक़र्रर हो जैसे हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने ख़ैबर के यहूदियों पर मुक़र्रर फ़रमाया था।

2.**ख़िराजे मुअज़्ज़फ़** कि एक मिक़दार लाज़िम कर दी जाये ख़्वाह रुपये मसलन सालाना दो रुपये बीघा या कुछ और जैसे फ़ारूके आज़म रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने मुक़र्रर फ़रमाया था यानी जिस तरह वज़ीफ़े में होता है।

मसअला :– अगर मअ़लूम हो कि सल्तनते इस्लामिया में इतना ख़िराज मुक़र्रर था तो वही दें बशर्ते कि ख़िराजे मुअज़्ज़फ़ में जहाँ–जहाँ फ़ारूके आज़म रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मिक़दार मनकूल है यअ़नी फ़ारूके आज़म का हुक्म मिलता है, उस पर ज़्यादत न हो और जहाँ मन्कूल नहीं उस में आधी पैदावार से ज़्यादा न हो यूँ हीं ख़िराजे मुक़ासमा में निस्फ़ (आधी)से ज़्यादा न हो और यह भी शर्त है कि ज़मीन उतना देने की ताक़त भी रखती हो।(दुर्रे मुख़्तार रद्दुलमुहतार)

मसअला :– अगर मअ़लूम न हो कि सल्तनते इस्लाम में क्या मुक़र्रर था तो जहाँ–जहाँ फ़ारूके आज़म रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने मुक़र्रर फ़रमा दिया है वह दें और जहाँ मुक़र्रर न फ़रमाया हो निस्फ़ दें। (फ़तावा रज़विया)

मसअला :– फ़ारूके अअ़्ज़म रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने यह मुक़र्रर फ़रमाया था कि हर क़िस्म के ग़ल्ले में फ़ी जरीब (ज़मीन के नापने के लिए एक पैमाना जो एक बीघे के बराबर होता है)एक दिरहम और उस ग़ल्ले का एक साअ़् और ख़रबूज़े,तरबूज़ की पालेज़ और खीरे,ककड़ी, बैंगन,वग़ैरा तरकारीयों में फ़ी जरीब पाँच दिरहम अँगूर व खुरमा (खजूर)के घने बाग़ों में जिनके अन्दर ज़राअ़त (खेती)न हो सके दस दिरहम फिर ज़मीन की हैसियत और उस शख़्स की कुदरत का एअ़्तिबार है इसका एअ़्तिबार नहीं कि उस ने क्या बोया यअ़नी जो ज़मीन जिस चीज़ के बोने के लाइक़ है और यह शख़्स उसके बोने पर क़ादिर है तो उसके एअ़्तिबार से ख़िराज अदा करे मसलन अँगूर बो सकता है तो अँगूर का खिराज दे अगर्चे गेहूँ बोए, और गेहूँ के क़ाबिल है तो गुहूँ का खिराज अदा करे अगर्चे जौ बोये, जरीब की मिक़दार अंग्रेज़ी गज़ से पैंतीस गज़ लम्बी पैंतीस गज़ चौड़ी है और साअ़् दो सौ अठासी रुपये भर और दस दिरहम के दो रुपये बारह आने $9\frac{3}{5}$ पाई पाँच दिरहम के एक रुपया छः आना $4\frac{4}{5}$ पाई और एक दिरहम चार आना $5\frac{19}{25}$पाई।

मसअ्ला :– जहाँ इस्लामी सल्तनत न हो वहाँ के लोग ब–तौरे खुद फुक़रा वग़ैरा जो मसारिफ़े ख़िराज हैं उन पर सर्फ़ करें।

मसअ्ला :– उ़शरी ज़मीन से ऐसी चीज़ पैदा हुई जिस की खेती से मक़सूद ज़मीन से मुनाफ़ा ह़ासिल करना है तो उस पैदावार की ज़कात फ़र्ज़ है और इस ज़कात का नाम उ़शरी है यअ्नी दसवाँ हिस्सा कि अकसर सूरतों में दसवाँ हिस्सा फ़र्ज़ है अगर्चे बअ्ज़ सूरतों में निस्फ़ उ़श्र यअ्नी बीसवाँ हिस्सा लिया जायेगा (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– उ़श्र वाजिब होने के लिए आ़क़िल, बालिग होना शर्त नहीं मजनून और नाबालिग़ की ज़मीन जो कुछ पैदा हुआ उस में भी उ़श्र वाजिब है (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– खुशी से उ़श्र न दे तो बादशाहे इस्लाम जबरन ले सकता है और इस सूरत में भी उ़श्र अदा हो जायेगा मगर सवाब का मुस्तह़क़ नहीं और खुशी से अदा करे तो सवाब का मुस्तह़क़ है।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिस पर उ़श्र वाजिब हुआ उसका इन्तेक़ाल हो गया और पैदावार मौजूद है तो उसमें से उ़श्र लिया जायेगा। (आलमगीरी,

मसअ्ला :– उ़श्र में साल गुज़रना भी शर्त नहीं बल्कि साल में चन्द बार खेत में ज़राअ़त हुई तो हर बार उ़श्र वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार ,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– इसमें निसाब भी शर्त नहीं एक साअ् भी पैदावार हो तो उ़श्र वाजिब है और यह शर्त भी नहीं कि वह चीज़ बाक़ी रहने वाली हो और यह शर्त भी नहीं कि काश्तकार ज़मीन का मालिक हो यहाँ तक मुकातिब (वह गुलाम जिससे आक़ा ने कह दिया हो कि रुपया दे दो तो तुम आज़ाद हो) वह माज़ून (वह गुलाम जिससे आक़ा ने यह कह दिया हो कि मेरे मरने के बाद तू आज़ाद है) ने काश्त की तो उस पैदावार पर भी उ़श्र वाजिब है ख़्वाह ज़राअ़त करने वाले अहले वक़्फ़ हों या उजरत पर काश्त की। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जो चीज़ें ऐसी हों कि उनकी पैदावार से ज़मीन के मुनाफ़े ह़ासिल करना मक़सूद न हो उनमें उ़श्र नहीं जैसे ईंधन घास, पत्ते,ख़तमी (एक क़िस्म की दवा),कपास बैगन का दरख़्त, ख़रबूज़ा, तरबूज़ खीरा ,ककड़ी के बीज यूँही हर क़िस्म की तरकारियों के बीज कि उनकी खेती से तरकारियाँ मक़सूद होती हैं,बीज मक़सूद नहीं होते। यूँही जो बीज दवा हैं मसलन कुन्दर, मेथी, कलौंजी, और अगर नरकुल, घास, बेद, झाऊ वग़ैरहुम से ज़मीन के मुनाफ़े ह़ासिल करना मक़सूद हो और ज़मीन इनके लिये ख़ाली छोड़ दी तो इन में भी उ़श्र वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– जो खेत बारिश या नहर नाले के पानी से सैराब किया जाये उस में उ़श्र यअ्नी दसवाँ हिस्सा वाजिब है और जिसकी आबपाशी (सिंचाई)चरसे (खाल के बड़े डोल) से या डोल से हो उस में निस्फ़ उ़श्र यअ्नी बीसवाँ हिस्सा वाजिब और पानी ख़रीद कर आबपाशी की हो यअ्नी वह पानी किसी की मिल्क है उससे ख़रीद कर आबपाशी की जब भी निस्फ़ उ़श्र वाजिब है और अगर वह खेत कुछ दिनों मेंह के पानी से सैराब किया जाता है और कुछ दिनों डोल,चरसे से तो अगर अकसर मेंह (बारिश) के पानी से काम लिया जाता है और कभी–कभी डोल चरसे से तो उ़श्र वाजिब है यअ्नी दसवाँ हिस्सा वाजिब है वरना निस्फ़(आधा) हिस्सा यअ्नी बीसवाँ हिस्सा।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– उ़शरी ज़मीन या पहाड़ या जंगल में शहद हुआ उस पर उ़श्र वाजिब है यूँ ही पहाड़ और जंगल और जंगल के फूलों में भी उ़श्र वाजिब है मगर शर्त यह है कि बादशाहे इस्लाम ने हर्बी

काफ़िरों और डाकूओं और बाग़ियों से इनकी हिफ़ाज़त की हो वरना कुछ नहीं।(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– गेहूँ, ज्वार, बाजरा, धान, और हर क़िस्म के ग़ल्ले और असली कुसुम, अख़रोट, बादाम और हर क़िस्म के मेवे रुई, फूल, गन्ना, ख़रबूज़, तरबूज़, खीरा, ककड़ी बैगन और हर क़िस्म की तरकारियाँ सब में उ़श्र वाजिब है थोड़ा पैदा हो या ज़्यादा। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– जिस चीज़ में उ़श्र या निस्फ़ उ़श्र वाजिब हुआ उस में कुल पैदावार का उ़श्र या निस्फ़ उ़श्र लिया जायेगा यह नहीं हो सकता कि खेती के तमाम ख़र्च यअ्नी हल, बैल, हिफ़ाज़त करनेवाले और काम करने वालों की उजरत या बीज वग़ैरा की क़ीमत निकाल कर बाक़ी का उ़श्र या निस्फ़ उ़श्र दिया जाये। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– उ़श्र सिर्फ़ मुसलमान से लिया जायेगा यहाँ तक कि उ़श्री ज़मीन मुसलमान से ज़िम्मी ने ख़रीद ली और क़ब्ज़ा भी कर लिया तो अब ज़िम्मी से उ़श्र नहीं लिया जायेगा बल्कि ख़िराज लिया जायेगा और मुसलमान ने ज़िम्मी से ख़िराजी ज़मीन ख़रीदी तो यह ख़िराजी ही रहेगी उस मुसलमान से उस ज़मीन का उ़श्र न लेंगे बल्कि ख़िराज लिया जाये। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ज़िम्मी ने मुसलमान से उ़श्री ज़मीन ख़रीदी फिर किसी मुसलमान ने शुफ़आ़ में वह ज़मीन ले ली या किसी वजेह से बय, फ़ासिद हो गयी थी और बेचने वाले के पास वापस हुई या बेचने वाले को ख़ियारे शर्त था या किसी को ख़ियारे रूयत था इस वजह से वापस हुई या ख़रीदार को ख़ियारे ऐब था और हुक्मे क़ाज़ी से वापस हुई इन सब सूरतों में वह फिर उ़श्री ही है और अगर ख़ियारे ऐब में बग़ैर हुक्मे क़ाज़ी वापस हुई तो अब ख़िराजी ही रहेगी। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मुसलमान ने अपने घर को बाग़ बना लिया अगर उस में उ़श्री पानी देता है तो उशरी है और ख़िराजी पानी देता है तो ख़िराजी और दोनों क़िस्म के पानी देता है जब भी उ़श्री, और ज़िम्मी ने अपने घर को बाग़ बनाया तो मुतलक़न ख़िराज लेंगे। आसमान और कुएँ और चश्मा और दरिया का पानी उ़श्री है और जो नहर अजमियों ने खोदी उसका पानी ख़िराजी है। काफ़िरों ने कुँआ खोदा था और अब मुसलमानों के क़ब्ज़े में आ गया या ख़िराजी ज़मीन में खोदा गया वह भी ख़िाराजी है। (आ़लमगीरी,दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मकान या मक़बरा में जो पैदावार हो उसमें न उ़श्र है न ख़िराज (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ज़िफ़्त(एक क़िस्म का गोंद)और निफ़्त (कोलतार वग़ैरा)के चश्मे उ़श्री ज़मीन में हों या ख़िराजी में उनमें कुछ नहीं लिया जायेगा अलबत्ता अगर ख़िराजी ज़मीन में हों और आस पास की ज़मीन खेती के क़ाबिल हो तो इस ज़मीन का ख़िराज लिया जायेगा चश्मे का नहीं और उ़श्री ज़मीन में हों तो जब तक आस पास की जमीन में ज़राअ़त (खेती)न हो कुछ नहीं लिया जायेगा फ़क़त खेती के क़ाबिल होना काफ़ी नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जो चीज़ ज़मीन के ताबेअ् हो जैसे दरख़्त और जो चीज़ दरख़्त से निकले जैसे गोंद उसमें उ़श्र नहीं। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– उ़श्र उस वक़्त लिया जाये जब फल निकल आयें और काम के क़ाबिल हो जायें और फ़साद का अंदेशा जाता रहे यअ्नी ख़राब होने का अन्देशा न रहे अगर्चे तोड़ने के लाइक़ न हुए हों

मसअ्ला :– ख़िराज अदा करने से पहले उस की आमदनी खाना हलाल नहीं। यूँहीं उ़श्र अदा करने से पहले मालिक को खाना हलाल नहीं, खायेगा ज़मान (जुर्माना)देगा यूँही अगर दूसरे को खिलाया

तो इतने के उश्र का तावान(जुर्माना)दे और अगर यह इरादा है कि कुल का उश्र अदा कर देगा तो खाना हलाल है। (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– बादशाहे इस्लाम को इख़्तियार है कि ख़िराज लेने के लिये ग़ल्ले को रोक ले मालिक को तसर्रुफ़ न करने दे और उसने कई साल का ख़िराज न दिया हो और आजिज़ हो तो अगली बरसों का माफ़ है आजिज़ न हो तो लेंगे (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ज़राअ़त पर क़ादिर है और बोया नहीं तो ख़िराज वाजिब है और उश्र जब तक काश्त न करे और पैदावार न हो वाजिब नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– खेत बोया मगर पैदावार मारी गयी मसलन खेती डूब गयी या जल गयी, या टिड्डी खा गयी या पाले और लू से जाती रही तो उश्र व ख़िराज दोनों साक़ित हैं जबकि कुल जाती रही और अगर कुछ बाक़ी है तो इस बाक़ी का उश्र लेंगे और अगर चौपाये खा गये तो साक़ित होने के लिए यह भी शर्त है कि उस के बअ्द इस साल के अन्दर उस में दूसरी ज़राअ़त तैयार न हो सके और यह भी शर्त है कि तोड़ने या काटने से पहले हलाक हो वरना साक़ित नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ख़िराजी ज़मीन किसी ने ग़सब की और ग़सब से इन्कार करता है और मालिक के पास गवाह भी नहीं तो अगर काश्त करे ख़िराज ग़ासिब पर होगा। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– बयऐ वफ़ा यानी जिस बय़ में यह शर्त हो कि बेचने वाला जब क़ीमत ख़रीदार को वापस देगा तो ख़रीदार मबीअ् (ख़रीदी हुई चीज़)फेर देगा तो जब ख़िराजी ज़मीन इस तौर पर किसी के हाथ बेची और बेचने वाले के क़ब्ज़े में ज़मीन है तो ख़िराज बेचने वाले पर, और ख़रीदार के क़ब्ज़े में हो और ख़रीदार ने बोया भी तो ख़िराज ख़रीदार पर (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– तैयार होने से पहले ज़राअ़त (खेती) बेच डाली तो उश्र ख़रीदार पर है अगर्चे ख़रीदार ने यह शर्त लगायी कि पकने तक ज़राअ़त काटी न जाये बल्कि खेत में रहे और बेचने के वक़्त ज़राअ़त तैयार थी तो उश्र बेचने वाले पर है और अगर ज़मीन व ज़राअ़त दोनों या सिर्फ़ ज़मीन बेची और इस सूरत में साल पूरा होने में इतना ज़माना बाक़ी है कि ज़राअ़त हो सके तो ख़िराज ख़रीदार पर है वरना बेचने वाले पर है। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– उश्री ज़मीन बटाई पर दी तो उश्र दोनों पर है और ख़िराजी ज़मीन बटाई पर दी तो ख़िराज मालिक पर है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ज़मीन जो ज़राअ़त के लिये नक़्दी पर दी जाती है इमामे आज़म के नज़दीक उसका उश्र ज़मीनदार पर है और साहिबैन के नज़दीक काश्तकार पर और अ़ल्लामा शामी ने यह तहक़ीक़ फ़रमाई कि हालते ज़माना के एअ़्तिबार से अब साहिबैन के क़ौल पर अ़मल है।

मसअ्ला :– गवर्मेन्ट को जो मालगुज़ारी दी जाती है उससे ख़िराजे शरई नहीं अदा होता बल्कि वह मालिक के ज़िम्मे है उसका अदा करना ज़रूरी और ख़िराज का मसरफ़ (यअ़्नी जिन पर ख़र्च किया जाये)सिर्फ़ लश्करे इस्लाम नहीं बल्कि तमाम मुसलमानों के फ़ाइदे के लिए है जिनमें मस्जिद की तामीर व ख़र्च, इमाम व मुअज़्ज़िन की तनख़्वाहें और इल्मे दीन के पढ़ाने वाले की तन्ख़्वाह और इल्मे दीन पढ़ने वालों की ख़बरगीरी और उलमाए अहले सुन्नत हामियाने दीन व मिल्लत जो वअ़्ज़ कहते और इल्मे दीन सिखाते और फ़तवे के काम में लगे रहते हों और पुल व सराय बनाने में भी

सर्फ़ किया जा सकता है। (फ़तावा रज़विया)
मसअ्ला :– उ़श्र लेने से पहले ग़ल्ला बेच डाला तो मुस़द्दिक़ यानी स़द्क़ा लेने वाले जिसको बादशाहे इस्लाम ने मुक़र्रर किया हो उसको इख़्तियार है कि उ़श्र ख़रीदार से ले या बेचने वाले से और अगर जितनी क़ीमत होनी चाहिए उससे ज़्यादा पर बेचा तो मुस़द्दिक़ को इख़्तियार है कि ग़ल्ले का उ़श्र ले या क़ीमत का उ़श्र और अगर कम क़ीमत पर बेचा और इतनी कमी है कि लोग इतने नुक़सान पर नहीं बेचते तो ग़ल्ले ही का उ़श्र लेगा और वह ग़ल्ला न रहा तो उसका उ़श्र क़रार देकर बेचने वाले से लें या उसकी वाजिबी क़ीमत। (आलमगीरी)
मसअ्ला :– अँगूर बेच डाले तो क़ीमत का उ़श्र ले और शीरा करके बेचा तो उसकी क़ीमत का उ़श्र ले। (आलमगीरी)

माले ज़कात किन लोगों पर स़र्फ़ (ख़र्च)किया जाये

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है :–

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

तर्जमा :–"स़द्क़ात फ़ुक़रा व मसाकीन के लिए हैं और उनके लिये जो इस काम पर मुक़र्रर हैं और वह जिन के क़ुलूब की तालीफ़ (दिल में महब्बत पैदा करना)मक़सूद है और गर्दन छुड़ाने में और तावान वाले के लिए और अल्लाह की राह में और मुसाफ़िर के लिये यह अल्लाह की त़रफ़ से मुक़र्रर करना है और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है।"
ह़दीस न.1 :– सुनने अबू दाऊद में ज़्याद इब्ने ह़ारिस सूदाई रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने सद़क़ात को नबी या किसी और के हुक्म पर नहीं रखा बल्कि उसने ख़ुद इसका हुक्म बयान फ़रमाया और इसके आठ हिस्से किये।
ह़दीस न.2 :– इमाम अह़मद व अबू दाऊद व ह़ाकिम अबू सईद रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ग़नी के लिये स़दक़ा ह़लाल नहीं मगर पाँच शख़्स के लिए 1. अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला ग़नी 2. स़दक़े पर आ़मिल ग़नी (जो स़दक़ा वुसूल करने पर मुतअ़य्यन हो) 3. तावान वाले ग़नी के लिए 4. या जिस ग़नी ने अपने माल से ख़रीद लिया हो 5. या मिस्कीन को स़दक़ा दिया गया और उस मिसकीन ने अपने पड़ोसी ग़नी (मालिके निस़ाब) को हदया किया और अह़मद बैहक़ी की दूसरी रिवायत में ग़नी मुसाफ़िर के लिए भी जवाज़ आया है यअ़नी ग़नी मुसाफ़िर को भी ज़कात का माल लेना जाइज़ है।
ह़दीस न.3 :– बैहक़ी ने ह़ज़रत मौला अ़ली रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि फ़रमाया सदक़ए मफ़रूज़ा (जो स़दक़ा फ़र्ज़ हो जैसे ज़कात)में औलाद और वालिद का ह़क़ नहीं।
ह़दीस न.4 :– त़बरानी कबीर में इब्ने अ़ब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि ह़ुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐ बनी हाशिम! तुम अपने नफ़्स पर स़ब्र करो कि स़दक़ात आदमियों के धोवन हैं।

हदीस न.5 ता 7 :– इमाम अहमद व मुस्लिम मुत्तलिब इब्ने रबीआ रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए सदका जाइज़ नहीं कि यह तो आदमियों के मैल हैं और इब्ने सअद की रिवायत इमामे हसन मुजतबा रदियल्लाहु तआला अन्हु से है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तआला ने मुझ पर और मेरे अहले बैत पर सदका हराम फरमा दिया और तिर्मिज़ी व नसई व हाकिम की रिवायत अबू राफेअ रदियल्लाहु तआला अन्हु से है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे लिये सदका हलाल नहीं और जिस कौम का आज़ाद करदा गुलाम हो वह उन्हीं में से है।

हदीस न.8 :– सहीहैन में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि इमामे हसन रदियल्लाहु तआला अन्हु ने सदके का खुर्मा लेकर मुँह में रख लिया इस पर हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया छी–छी कि उसे फेंक दें फिर फरमाया क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हम सदका नहीं खाते, तहमान व बहज़ इब्ने हकीम व बर्रा व ज़ैद इब्ने अरकम व अम्र इब्ने खारजा व सलमान व अब्दुर्रहमान इब्ने अबी लैला व मयमून व केसान व हुरमुज़ व खारजा इब्ने अम्र व मुगीरा व अनस वगैरहुम रदियल्लाहु तआला अन्हुम से भी रिवायतें हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहले बैत के लिये सदकात नाजाइज़ हैं।

मसअला :– ज़कात के मसारिफ सात हैं यअनी सात किस्म के लोगों को ज़कात दे सकते हैं:–
1. फकीर 2. मिस्कीन 3. आमिल 4. रिकाब 5. गारिम 6. फीसबीलिल्लाह 7. इब्नुस्सबील।

मसअला :– **फकीर** वह शख्स है जिस के पास कुछ हो मगर न इतना कि निसाब को पहुँच जाये या निसाब की कद्र हो तो उसकी हाजते अस्लिया में मुस्तगरक(घिरा हुआ)हो मसलन रहने का मकान पहनने के कपड़े ख़िदमत के लिये लौंडी,गुलाम। इल्मी शुग्ल रखने वाले को दीनी किताबें जो उसकी ज़रूरत से ज़्यादा न हों ज़िसका बयान गुज़रा यूँही अगर मदयून (कर्ज़दार)है और दैन निकालने के बअद निसाब बाकी न रहे तो फकीर है अगर्चे उसके पास एक तो क्या कई निसाबें हों। (रद्दुल मुहतार वगैरा)

मसअला :– फकीर अगर आलिम हो तो उसे देना जाहिल को देने से अफज़ल है। (आलमगीरी) मगर आलिम को दे तो इसका लिहाज़ रखे कि उसकी इज़्ज़त मद्देनज़र हो अदब के साथ दे जैसे छोटे बड़ों को नज़र देते हैं। और मआज़ल्लाह आलिमे दीन की हिकारत (ज़िल्लत)अगर दिल में आई तो यह हलाकत और बहुत सख़्त हलाकत है।

मसअला :– **मिस्कीन** वह है जिसके पास कुछ न हो यहाँ तक कि खाने और बदन छुपाने के लिये उसका मुहताज है कि लोगों से सवाल करे और उसे सवाल हलाल है फकीर को सवाल नाजाइज़ कि जिसके पास खाने और बदन छुपाने को हो उसे बगैर जरूरत व मजबूरी सवाल हराम है।(आलमगीरी)

मसअला :– **आमिल** वह है जिसे बादशाहे इस्लाम ने ज़कात और उश्र वुसूल कर ने के लिए मुकर्रर किया उसे काम के लिहाज़ से इतना दिया जाये कि उसको और उसके मददगारों को मुतवस्सित (दरमियानी) तौर पर काफी हो मगर इतना न दिया जाये कि जो वुसूल कर लाया है उस के निस्फ से ज़्यादा हो जाये। (दुर्रे मुख्तार वगैरा)

मसअला :– आमिल अगर्चे गनी हो अपने काम की उजरत ले सकता है और हाशिमी हो तो उसको

ज़कात के माल में से देना भी नाजाइज़ और उसे लेना भी नाजाइज़ हाँ अगर किसी और मद से दें तो लेने में हरज नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– ज़कात का माल आमिल के पास से जाता रहा तो अब उसे कुछ न मिलेगा मगर देने वालों की ज़कातें अदा हो गयीं। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– कोई शख़्स अपने माल की ज़कात खुद ले जाकर बैतुलमाल में दे आया तो उसका मुआवज़ा आमिल नहीं पायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– वक़्त से पहले मुआवज़ा ले लिया या क़ाज़ी ने दे दिया यह जाइज़ है मगर बेहतर यह है कि पहले न दें और अगर पहले ले लिया और वुसूल किया हुआ माल हलाक हो गया तो ज़ाहिर यह कि वापस न लेंगे। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– **रिक़ाब** से मुराद मुकातिब ग़ुलाम (मुकातिब गुलाम वह कि मालिक ने उससे यह कह दिया हो कि रुपया दे दो तो तुम आजाद हो) को देना कि उस ज़कात के माल से बदले किताबत यअ्नी वही रूपया जो आज़ाद होने के लिए मालिक को देना है, अदा करे और ग़ुलामी से अपनी गर्दन रिहा करे। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– ग़नी के मुकातिब को भी माले ज़कात दे सकते हैं अगर्चे मअ्लूम है कि यह ग़नी का मुकातिब है। मुकातिब पूरा बदले किताबत अदा करने से आजिज़ हो गया और फिर ब–दस्तूर गुलाम हो गया तो जो कुछ इसने माले ज़कात लिया है उसका मौला ख़र्च में ला सकता है अगर्चे ग़नी हो।

मसअ्ला :– मुकातिब को जो ज़कात दी गयी वह गुलामी से रिहाई के लिये है मगर अब इसे इख़्तियार है कि दूसरी जगह ख़र्च कर सकता है अगर मुकातिब के पास ब–क़द्रे निसाब माल है और बदले किताबत से भी ज़्यादा है जब भी ज़कात दे सकते हैं मगर हाशिमी के मुकातिब को ज़कात नहीं दे सकते (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ग़ारिम से मुराद मदयून है यअ्नी उस पर इतना दैन हो कि उसे निकालने के बअ्द निसाब बाक़ी न रहे अगर्चे उसका औरों पर बाक़ी हो मगर लेने पर क़ादिर न हो मगर शर्त यह है कि मदयून हाशिमी न हो। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– **फ़ीसबीलिल्लाह** यअ्नी राहे ख़ुदा में ख़र्च करना इसकी चन्द सूरतें हैं मसलन कोई शख़्स मुहताज है कि जिहाद में जाना चाहता है सवारी और सफ़र का सामान उसके पास नहीं तो उसे माले ज़कात दे सकते हैं कि वह राहे ख़ुदा में देना है अगर्चे वह कमाने पर क़ादिर हो या कोई हज को जाना चाहता है और उसके पास माल नहीं उस को ज़कात दे सकते हैं मगर उसे हज के लिये सवाल करना जाइज़ नहीं या तालिबे इल्म कि इल्मे दीन पढ़ता या पढ़ाना चाहता है उसे दे सकते हैं कि यह भी राहे खुदा में देना है बल्कि तालिबे इल्म सवाल करके भी माले ज़कात ले सकता है जबकि उसने अपने आप को इसी काम के लिये फ़ारिग़ कर रखा हो अगर्चे कसब (कमाने)पर क़ादिर हो यूँही हर नेक बात में ज़कात सर्फ़ करना फ़ीसबीलिल्लाह है जबकि ब–तौरे तमलीक(मालिक बना देने के तौर)हो कि बग़ैर तमलीक ज़कात अदा नहीं हो सकती(दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– बहुत से लोग माले ज़कात इस्लामी मदारिस में भेज देते हैं उनको चाहिये कि मदरसे के मुतवल्ली को इत्तिलाअ् दें कि यह माले ज़कात है ताकि मुतवल्ली उस माल को जुदा रखे और

दूसरे माल में न मिलायें और ग़रीब तलबा पर सर्फ़ (ख़र्च)करे किसी काम की उजरत में न दे वरना ज़कात अदा न होगी।

मसअ्ला :– **इब्नुस्सबील** यअ्नी मुसलमान मुसाफ़िर जिसके पास माल न रहा ज़कात ले सकता है अगर्चे इसके घर माल मौजूद हो मगर उसी क़द्र ले जिस से हाजत पूरी हो जाये ज़्यादा की इजाज़त नहीं,यूँही अगर मालिके निसाब का माल किसी मीआद(मुक़र्ररा) वक़्त तक के लिये दूसरे पर दैन है और अभी मीआद पूरी न हुई और अब इसे ज़रूरत है या जिस पर इसका आता है यह यहाँ मौजूद नहीं या मौजूद है मगर नादार (बहुत ग़रीब) है या दैन से मुन्किर है अगर्चे यह सुबूत रखता हो तो इन सब सूरतों में ब क़द्रे ज़रूरत ज़कात ले सकता है मगर बेहतर यह है कि क़र्ज़ मिले तो क़र्ज़ लेकर काम चलाये। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)और अगर दैने मुअज्जल है, या मीआद पूरी हो गयी और मदयून ग़नी हाज़िर है और इक़रार भी करता है तो ज़का त नहीं ले सकता कि उससे लेकर अपनी ज़रूरत में सर्फ़ कर सकता है। लिहाज़ा हाजतमन्द न हुआ और याद रखना चाहिए कि क़र्ज़ जिसे ऊर्फ़ में लोग दस्तगरदाँ (यअ्नी क़र्ज़) कहते हैं शरअ़न हमेशा मुअज्जल होता है क्यूँकि जब चाहे उसका मुतालबा कर सकता है अगर्चे हज़ार अहदो पैमान व वसीक़ा व तमस्सुक (वादे काग़ज़ात और स्टाम्प वग़ैरा लिख लेने)के ज़रीए से उसमें मीआद मुक़र्रर की हो कि इतनी मुद्दत के बअ्द दिया जायेगा अगर्चे यह लिख दिया हो कि इस मीआद से पहले मुतालबा का इख़्तियार न होगा अगर मुतालबा करे तो बातिल व ना–मसमूअ् होगा यानी माना नहीं जायेगा कि यह सब शर्तें बातिल हैं और क़र्ज़ देने वाले को हर वक़्त मुतालबा का इख़्तियार है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– मुसाफ़िर या उस मालिके निसाब ने जिसका अपना माल दूसरे पर दैन है ब–वक़्ते ज़रूरत माले ज़कात ब–क़द्रे ज़रूरत लिया फिर अपना माल मिल गया मसलन मुसाफ़िर घर पहुँच गया या मालिके निसाब का दैन वुसूल हो गया तो जो कुछ जकात में का बाक़ी है अब भी अपने सर्फ़ में ला सकता है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ज़कात देने वाले को इख़्तियार है कि इन सातों क़िस्मों को दे या इन में किसी एक को दे दे ख़्वाह एक क़िस्म के चन्द शख़्सों को या एक को और माले ज़कात अगर ब–क़द्रे निसाब न हो तो एक को देना अफ़ज़ल है और एक शख़्स को ब–क़द्रे निसाब दे देना मकरूह मगर दे दे तो अदा हो गयी। एक शख़्स को ब–क़द्रे निसाब देना मकरूह उस वक़्त है कि वह फ़क़ीर मदयून न हो और मदयून हो तो इतना दे देना कि दैन निकाल कर कुछ न बचे या निसाब से कम बचे मकरूह नहीं। यूँही अगर वह फ़क़ीर बाल–बच्चों वाला है कि अगर्चे निसाब या ज़्यादा है मगर अहल व इयाल पर तक़सीम करें तो सब को निसाब से कम मिलता है तो इस सूरत में भी हरज नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– ज़कात अदा करने में यह ज़रूर है कि जिसे दें मालिक बना दें इबाहत काफ़ी नहीं यअ्नी मुबाह कर देना काफ़ी नहीं। (मसलन नल लगवाया कि लोग पानी पियेंगे और समझें कि ज़कात अदा हो तो ऐसा करने से ज़कात अदा न होगी क्यूँकि यहाँ माल का मालिक न बनाया) लिहाज़ा माले ज़कात मस्जिद में सर्फ़ करना या उस से मय्यत को कफ़न देना या मय्यत का दैन अदा करना या ग़ुलाम आज़ाद करना। पुल सरा, सिक़ाया (प्याऊ) सड़क ,बनवा देना नहर या कुँआ खुदवा देना इन अफ़आल में ख़र्च करना या किताब वग़ैरा कोई चीज़ ख़रीद कर वक़्फ़ कर देना नाकाफ़ी है यअ्नी इस तरह के काम करने से ज़कात अदा नहीं होगी। (जौहरा,तन्वीरी, आलमगीरी)

मसअला :– फ़क़ीर पर दैन है उसके कहने से माले ज़कात से वह दन अदा किया गया ज़कात अदा हो गई और अगर उसके हुक्म से न हो तो ज़कात अदा न हुई अगर फ़क़ीर ने इजाज़त दी मगर अदा से पहले मर गया तो यह दैन अगर माले ज़कात से अदा करें ज़कात अदा न होगी। (दुर्रे मुख़्तार) इन चीजों में माले ज़कात सर्फ़ करने का हीला हम बयान कर चुके अगर हीला करना चाहें तो कर सकते हैं।

मसअला :– (1)अपनी अस्ल व फराअ् यअ्नी माँ–बाप ,दादा–दादी, नाना–नानी, वग़ैरहुम जिन की औलाद में यह है उनको ज़कात नहीं दे सकता। और यूँही अपनी औलाद बेटा–बेटी,पोता पोती, नवासा–नवासी वग़ैरहुम को ज़कात नहीं दे सकता। (2) यूँ ही सदकए फित्र नज़र व कफ़्फ़ारा भी इन्हें नहीं दे सकता, रहा सदकए नफ़्ल वह दे सकता है बल्कि बेहतर है।(आलमगीरी,रद्दुल मुहतार वग़ैरहुमा)

मसअला :– ज़िना का बच्चा जो उस के नुत्फ़े से हो या वह बच्चा कि इसकी मन्कूहा से ज़मानए निकाह में पैदा हो मगर यह कह चुका कि मेरा नहीं उन्हें नहीं दे सकता। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– बहू और दामाद और सौतेली माँ या सौतेले बाप या ज़ौजा की औलाद या शौहर की औलाद को दे सकता है और रिश्तेदारों में जिसका नफ़्का इसके ज़िम्मे वाजिब है उसे ज़कात दे सकता है जबकि नफ़्क़े में शुमार न करे। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– माँ बाप मोहताज हों और हीला कर के ज़कात देना चाहता है कि यह फ़क़ीर को दे दे फिर फ़क़ीर उन्हें दे यह मकरूह है।(रद्दुल मुहतार) यूँही हीला कर के अपनी औलाद को देना भी मकरूह है।

मसअला :– अपने या अपनी अस्ल या अपनी फ़राअ् या अपने ज़ौज (शौहर) या अपनी ज़ौजा के गुलाम या मुकातिब या मुदब्बिर यअ्नी जिस गुलाम का कुछ हिस्सा आज़ाद हो चुका हो और बाक़ी हिस्से की आज़ादी के लिए कोशिश करता हो या उम्मे वलद (यअ्नी वह बांदी जिससे आक़ा के औलाद हो या) उस ग़ुलाम को जिसके किसी जुज़ का यह मालिक हो अगर्चे बअ्ज़ हिस्सा आज़ाद हो चुका हो ज़कात नहीं दे सकता। (आलमगीरी)

मसअला :–औरत शौहर को और शौहर औरत को ज़कात नहीं दे सकता अगर्चे तलाक़े बाइन बल्कि तीन तलाक़ें दे चुका हो जब तक इद्दत में है। और इद्दत पूरी हो गयी तो अब दे सकता है।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– जो शख़्स मालिके निसाब हो (ज़बकि वह चीज़ हाजते असलिया से फ़ारिग़ हो यअ्नी मकान, सामान ख़ानादारी, पहनने के कपड़े, ख़ादिम सवारी का जानवर हथियार अहले इल्म के लिये किताबें जो उसके काम में हों कि यह सब हाजते असलिया से हैं)और यह चीज़ इनके अलावा हो अगर्चे उस पर साल न गुज़रा हो अगर्चे वह माल नामी यअ्नी बढ़ने वाला माल न हो ऐसे को ज़कात देना, जाइज़ नहीं और निसाब से मुराद यहाँ यह है कि उस की क़ीमत दो सौ दिरहम हो अगर्चे वह खुद इतनी न हो कि उस पर ज़कात वाजिब हो मसलन छः तोले सोना जब दो सौ दिरहम क़ीमत का हो तो ज़िस के पास है अगर्चे उस पर ज़कात वाजिब नहीं कि सोने की निसाब $7\frac{1}{2}$ तोले है मगर उस शख़्स को ज़कात नहीं दे सकते या इसके पास तीस बकरियाँ या बीस गाय हों जिसकी क़ीमत दो सौ दिरहम है इसको ज़कात नहीं दे सकते अगर्चे इस पर ज़कात वाजिब नहीं या इसके पास ज़रूरत के सिवा असबाब हैं जो तिजारत के लिये भी नहीं और वह दो सौ

दिरहम के हैं तो इसे ज़कात नहीं दे सकत। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– सही तन्दरुस्त को ज़कात दे सकते हैं अगर्चे कमाने पर कुदरत रखता हो मगर सवाल करना इसे जाइज़ नहीं। (आलमगीरी वगै़रा)

मसअ्ला :– जो शख़्स मालिके निसाब है उसके गुलाम को भी ज़कात नहीं दे सकते अगर्चे गुलाम अपाहिज हो और उसका मौला खाने को भी नहीं देता या उस का मालिक ग़ाइब हो मगर मालिके निसाब के मुकातिब को और उस माजून यअ्नी वह गुलाम जिसे उसके आक़ा ने तिजारत की इजाज़त दे रखी हो उसको दे सकते हैं जो ख़ुद और उसका माल दैन में मुसतग़रक हो। यूँही ग़नी मर्द के नाबालिग़ बच्चे को भी नहीं दे सकते और ग़नी के बालिग़ औलाद को दे सकते हैं जबकि फ़कीर हों। (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ग़नी की बीवी को दे सकते है जबकि मालिके निसाब न हो। यूँही ग़नी के बाप को दे सकते है। जबकि फ़कीर है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिस औरत का दैन महर उस के शौहर पर बाकी है अगर्चे वह ब–क़द्रे निसाब हो अगर्चे शौहर मालदार हो अदा करने पर कादिर हो उस को ज़कात दे सकते हैं (जौहरा नय्यिरा)

मसअ्ला :–जिस बच्चे की माँ मालिके निसाब है अगर्चे उसका बाप ज़िन्दा न हो उस बच्चे को ज़कात दे सकते हैं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जिस के पास मकान या दुकान है जिसे किराये पर उठाता है और उसकी क़ीमत मसलन तीन हज़ार हो मगर किराया इतना नहीं जो उस के और बाल बच्चों के लिए खाने पीने को काफ़ी हो सके तो उस को ज़कात दे सकते हैं यूँही उसकी मिल्क में खेत हैं जिसकी काश्त करता है मगर पैदावार इतनी नहीं जो साल भर को खाने पीने के लिए काफ़ी हो उसको ज़कात दे सकते हैं अगर्चे खेत की क़ीमत दो सौ दिरहम या ज़ाइद हो (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जिसके पास खाने के लिए ग़ल्ला हो जिसकी क़ीमत दो सौ दिरहम हो और वह ग़ल्ला साल भर को काफ़ी है जब भी उसको ज़कात देना हलाल है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जाड़े के कपड़े जिन की गर्मियों में हाजत नहीं पड़ती हाजत असलिया में हैं वह कपड़े अगर्चे बेश क़ीमत हों ज़कात ले सकता है जिसके पास रहने का मकान हाजत से ज़्यादा हो यअ्नी पूरे में उसकी सुकूनत नहीं यह शख़्स ज़कात ले सकता है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– औरत को माँ–बाप के यहाँ से जो जहेज़ मिलता है उसकी मालिक औरत ही है उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं एक हाजत की जैसे खाना दारी के सामान, पहनने के कपड़े,इस्तेमाल के बर्तन इस किस्म की चीज़ें कितनी ही क़ीमत की हों इनकी वजह से औरत ग़नी नहीं दूसरी वह चीज़ें जो हाजते असलिया से ज़ाइद हैं ज़ीनत के लिये दी जाती हैं जैसे ज़ेवर और हाजत के अलावा असबाब और बर्तन और आने जाने के बेशक़ीमती भारी जोड़े इन चीज़ों की क़ीमत अगर ब–क़द्रे निसाब है औरत ग़नी है ज़कात नहीं ले सकती (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मोती वग़ैरा जवाहिरात जिसके पास हों और तिजारत के लिये न हों तो इनकी ज़कात वाजिब नहीं मगर जब निसाब की क़ीमत के हों तो ज़कात ले नहीं सकता (दुर्रे मुख़्तार वगै़रा)

मसअ्ला :– जिसके मकान में निसाब की क़ीमत का बाग़ हो और बाग़ के अन्दर ज़रूरियाते मकान बावर्ची खाना, गुस्लखाना वग़ैरा नहीं तो उसे ज़कात लेना जाइज़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– बनी हाशिम को ज़कात नहीं दे सकते न ग़ैर उन्हें दे सकते न एक हाशिमी दूसरे हाशमी को बनी हाशिम से मुराद हज़रते अली व ज़अ्फ़र व अक़ील और हज़रते अ़ब्बास व हारिस इब्ने अ़ब्दुल मुत्तलिब की औलादे हैं इनके अ़लावा जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की इआ़नत (मदद) न की मसलन अबू लहब कि अगर्चे यह काफ़िर हज़रते अ़ब्दुल मुत्तलिब का बेटा था मगर इसकी औलादें बनी हाशिम में शुमार न होंगी (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– बनी हाशिम के आज़ाद किये हुऐ गुलामों को भी ज़कात नहीं दे सकते तो जो गुलाम उनकी मिल्क में हैं उन्हें देना बतरीक़े औला नाजाइज़ (दुर्रे मुख़्तार,वग़ैरा आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– माँ हाशिमी बल्कि सय्यदानी हो और बाप हाशिमी न हो तो वह हाशिमी नहीं कि शरअ् में नसब बाप से है लिहाज़ा ऐसे शख़्स को ज़कात दे सकते हैं अगर कोई दूसरा मानेअ् न हो।

मसअ्ला :– सदक़ए नफ़्ल और औक़ाफ़ (वक़्फ़ की जमा)की आमदनी बनी हाशिम को दे सकते हैं ख़्वाह वक़्फ़ करने वाले ने इनकी तअ्य्यीन की हो या नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ज़िम्मी काफ़िर को न ज़कात दे सकते हैं न कोई सदक़ए वाजिबा जैसे नज़र व कफ़्फ़ारा व सदक़ए फ़ित्र और हर्बी को किसी क़िस्म का सदक़ा देना जाइज़ नहीं न वाजिबा न नफ़्ली अगर्चे वह दारुल इस्लाम में बादशाहे इस्लाम से अमान लेकर आया हो। (दुर्रे मुख़्तार) हिन्दुस्तान अगर्चे दारुलइस्लाम है मगर यहाँ के कुफ़्फ़ार ज़िम्मी नहीं उन्हें सदक़ाते नफ्ल मसलन हदया वग़ैरा देना भी नाजाइज़ है।

फ़ायदा :– जिन लोगों को ज़कात देना जाइज़ है उन्हें और भी कोई सदक़ए वाजिबा नज़र व कफ़्फ़ारा व फ़ितरा देना जाइज़ है सिवा दफ़ीना और मअ्दन (यअ्नी कान से)के कि इन का ख़ुम्स (पाँचवाँ हिस्सा)अपने वालिदैन व औलाद को भी दे सकता है बल्कि बाज़ सूरत में ख़ुद भी सर्फ़ कर सकता है जिसका बयान गुज़रा। (जौहरा)

मसअ्ला :– जिन लोगों की निस्बत बयान किया गया कि इन्हें ज़कात दे सकते हैं उस सब का फ़क़ीर होना शर्त है सिवा आ़मिल के कि उस के लिये फ़क़ीर होना शर्त नहीं और इब्नुस्सबील अगर्चे ग़नी हो उस वक़्त हुक्मे फ़क़ीर में है बाक़ी किसी को जो फ़क़ीर न हो ज़कात नहीं दे सकते।

मसअ्ला :– जो शख़्स मर्ज़े मौत में है उसने ज़कात अपने भाई को दी और यह भाई उसका वारिस है तो ज़कात इन्दल्लाह यअ्नी अल्लाह के नज़दीक अदा हो गयी मगर बाक़ी वारिसों को इख़्तियार है कि उससे इस ज़कात को वापस लें कि यह वसीयत के हुक्म में है और वारिस के लिये बग़ैर दूसरे वुरसा (वारिसों)की इजाज़त के वसीयत सही नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जो शख़्स इसकी ख़िदमत करता और उसके यहाँ के काम करता है उसे ज़कात दी या उसको दी जिसने ख़ुशख़बरी सुनाई या उसे दी जिस ने इसके पास हदया भेजा यह सब जाइज़ हाँ अगर एवज़ कहकर दी तो अदा न हुई ईद बक़रईद में ख़ुद्दाम मर्द व औरत को ईदी कह कर दी तो अदा हो गयी। (जौहरा,आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिसने तहर्री की यअ्नी सोचा और दिल में यह बात जमी कि इसको ज़कात दे सकते हैं और ज़कात दे दी बाद में ज़ाहिर हुआ कि वह मसरफ़े ज़कात (ज़कात लेने के क़ाबिल)है या कुछ हाल न खुला तो अदा हो गयी और अगर बाद में मअ्लूम हुआ कि वह ग़नी था या उस ज़कात देने वाले के वालिदैन में कोई था या अपनी औलाद थी या शौहर था या ज़ौजा थी या हाशिमी या

हाशिमी का गुलाम था या ज़िम्मी था जब भी अदा हो गयी और अगर यह मअ्लूम हुआ कि इसका गुलाम था या हर्बी काफ़िर था तो अदा न हुई अब फिर दे और यह भी तहर्री ही के हुक्म में है कि उसने सवाल किया इसने उसे ग़नी न जानकर दे दिया या वह फ़क़ीरों की जमाअ़त में उन्हीं की वज़ा (भेष) में था यअ्नी फ़क़ीरों की तरह लगता था, उसे दे दिया।(आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर बे सोचे समझे दे दी यअ्नी यह ख़्याल भी न आया कि इसे दे सकते हैं या नहीं और बाद में मअ्लूम हुआ कि इसे नहीं दे सकते थे तो अदा न हुई वरना हो गयी। और अगर देते वक़्त शक था और तहर्री न की या की मगर किसी तरफ़ दिल न जमा या तहर्री की और ग़ालिब गुमान यह हुआ कि यह ज़कात का मसरफ़ नहीं (ज़कात लेने के लाइक़ नहीं)और दे दिया तो इस सब सूरतों में अदा न हुई मगर जबकि देने के बअ्द यह ज़ाहिर हुआ कि वाक़ई वह मसरफ़े ज़कात था तो हो गई (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– ज़कात वग़ैरा सदक़ात में अफ़ज़ल यह है कि अव्वलन अपने भाईयों बहनों को दे फिर इनकी औलाद को फिर चचा और फूफ़ियों को फिर इनकी औलाद को फिर मामू और ख़ाला को फिर इनकी औलाद को फिर ज़विल अरहाम यअ्नी रिश्ते वालों को फिर पड़ोसियों को फिर अपने पेशा वालों को फिर अपने शहर या गाँव के रहने वालों को (जौहरा,आलमगीरी)हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐ उम्मते मुहम्मद! क़सम है उसकी जिसने मुझे हक़ के साथ भेजा अल्लाह तआ़ला उस शख़्स के सदक़े को क़बूल नहीं फ़रमाता जिस के रिश्तेदार उसके सुलूक करने के मुहताज हों और यह ग़ैरों को दे। क़सम है उसकी जिसके दस्ते क़ुदरत में मेरी जान है अल्लाह तआ़ला उसकी तरफ़ क़ियामत के दिन नज़रे रहमत नहीं फ़रमायेगा।(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– दूसरे शहर को ज़कात भेजना मकरूह है मगर जबकि वहाँ उसके रिश्ते वाले हों तो उसके लिये भेज सकता है या वहाँ के लोगों को ज़्यादा हाजत है या ज़्यादा परहेज़गार हैं या मुसलमानों के हक़ में वहाँ भेजना ज़्यादा फ़ायदा है या तालिबे इल्म के लिये भेजे या ज़ाहिदों के लिये या दारुलहरब में है और ज़कात दारुलइस्लाम में भेजे या साल तमाम से पहले ही भेजे इस सब सूरतों में दूसरे शहर को भेजना बिला कराहत जाइज़ है। (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– शहर से मुराद वह शहर है जहाँ माल हो अगर ख़ुद एक शहर में है और माल दूसरे में तो जहाँ माल हो वहाँ के फ़क़ीरों को ज़कात दी जाये और सदक़ए फ़ित्र में वह शहर मुराद है जहाँ ख़ुद है अगर ख़ुद एक शहर में है और इसके छोटे बच्चे और गुलाम दूसरे शहर में तो जहाँ ख़ुद है वहाँ के फ़ुक़रा पर सदक़ए फ़ित्र तक़सीम करे। (जौहरा आलमगीरी)

मसअ्ला :– बदमज़हब को ज़कात जाइज़ नहीं (दुर्रे मुख़्तार) जब बदमज़हब का यह हुक्म है तो इस ज़माने के वहाबी कि तौहीने ख़ुदा व तनक़ीसे शाने रिसालत करते और शाए करते हैं जिनको अकाबिर उलमाए हरमैन तय्येबैन ने बिलइत्तिफ़ाक़ काफ़िर व मुरतद फ़रमाया अगर्चे वह अपने आप को मुसलमान कहें उन्हें ज़कात देना हराम व सख़्त हराम है और दी तो हरगिज़ अदा न होगी।

मसअ्ला :– जिसके पास आज के खाने को है या तन्दुरुस्त है कि कमा सकता है उसे खाने के लिये सवाल हलाल नहीं और बे माँगे कोई ख़ुद दे दे तो लेना जाइज़, और खाने को उसके पास है मगर कपड़ा नहीं तो कपड़े के लिये सवाल कर सकता है यूँही अगर जिहाद या तलबे इल्मे दीन में मशग़ूल है तो अगर्चे सही तन्दुरुस्त कमाने पर क़ादिर हो उसे सवाल की इजाज़त है। जिसे सवाल जाइज़ नहीं उसके सवाल पर देना भी नाजाइज़ देने वाला भी गुनाहगार होगा। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मुस्तहब यह है कि एक शख़्स को इतना दे कि उस दिन उसे सवाल की हाजत न पड़े और यह उस फ़क़ीर की हालत के एअ्तिबार से मुख़्तलिफ़ है उसके खाने,बाल बच्चों की कसरत और दूसरे ज़रूरी कामों का लिहाज़ कर के दे। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

सदक़ए फ़ित्र का बयान

हदीस न.1 :– सही बुख़ारी व मुस्लिम में अ़ब्दुल्ला इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने ज़काते फ़ित्र एक साअ़ (चार किलो नव्वे ग्राम) ख़ुर्मा (खजूर)या जौ ग़ुलाम व आज़ाद मर्द व औ़रत छोटे और बड़े मुसलमान पर मुक़र्रर की और यह हुक्म फ़रमाया कि नमाज़ को जाने से पहले अदा कर दे।

हदीस न.2 :– अबू दाऊद व नसई की रिवायत में है कि अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा ने आख़िर रमज़ान में फ़रमाया अपने रोज़े का सदक़ा अदा करो इस सदक़े को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने मुक़र्रर फ़रमाया एक साअ़ ख़ुर्मा या जौ या निस्फ़(आधा)साअ़ गेहूँ।

हदीस न.3 :– तिर्मिज़ी शरीफ़ में ब–रिवायते अ़म्र इब्ने शुऐ़ब अ़न अबीहे अ़न जद्देही मरवी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने एक शख़्स को भेजा कि मक्का के कूचों में एलान कर दे कि सदक़ए फ़ित्र वाजिब है।

हदीस न.4 :– अबू दाऊद व इब्ने माजा हाकिम इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैवि वसल्लम ने ज़काते फ़ित्र मुक़र्रर फ़रमाई कि लग़्व और बेहूदा कलाम से रोज़े की तहारत हो जाये और मिस्कीनों की ख़ुरिश (ख़ुराक वग़ैरा)हो जाये।

हदीस न.5 :– दैलमी व ख़तीब व इब्ने असाकिर अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बन्दे का रोज़ा आसमान व ज़मीन में मुअ़ल्लक़ (लटका)रहता है जब तक कि सदक़ए फ़ित्र अदा न करे।

मसअ्ला :– सदक़ए फ़ित्र वाजिब है उ़म्र भर उसका वक़्त है यानी अगर अदा न किया हो तो अब अदा कर दे और न करने से साक़ित न होगा यअ्नी ख़त्म न होगा, न अब अदा करना क़ज़ा है बल्कि अब भी अदा ही है अगर्चे मसनून (बेहतर)ईद की नमाज़ से पहले अदा करना है।(दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– सदक़ए फ़ित्र उस शख़्स पर वाजिब है माल पर नहीं लिहाज़ा मर गया तो उसके माल से अदा नहीं किया जायेगा हाँ अगर वुरसा एहसान के तौर पर अपनी तरफ़ से अदा करें तो हो सकता है कुछ उन पर जब्र नहीं और अगर वसीयत कर गया है तो तिहाई माल से ज़रूर अदा किया जायेगा अगर्चे वुरसा इजाज़त न दें। (जौहरा वग़ैरा)

मसअ्ला :– ईद के दिन सुबहे सादिक़ तुलू होते ही सदक़ए फ़ित्र वाजिब होता है लिहाज़ा जो शख़्स सुबहे सादिक़ होने से पहले मर गया या ग़नी था फ़क़ीर हो गया या सुबहे सादिक़ तुलू होने के बअ्द काफ़िर मुसलमान हुआ या बच्चा पैदा हुआ या फ़क़ीर था ग़नी हो गया वाजिब न हुआ और अगर सुबहे सादिक़ तुलू होने के बअ्द मरा या सुबहे सादिक़ तुलू होने से पहले काफ़िर मुसलमान हुआ या बच्चा पैदा हुआ या फ़क़ीर था ग़नी हो गया तो वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– सदक़ए फ़ित्र हर मुसलमान आज़ाद मालिके निसाब पर जिसकी निसाब हाजते असलिया से फ़ारिग़ हो वाजिब है उसमें आक़िल बालिग़ और माले नामी (बढ़ने वाले माल) का होना शर्त नहीं। (दुर्रे मुख़्तार) माले नामी और हाजते असलिया का बयान गुज़र चुका उसकी सूरत वहीं से मअ्लूम करें।

मसअ्ला :– नाबालिग़ या मजनून (पागल)अगर मालिके निसाब हैं तो उन पर सदक़ए फ़ित्र वाजिब है उनका वली उनके माल से अदा करे अगर वली ने अदा न किया और नाबालिग़ बालिग़ हो गया या मजनून का जुनून जाता रहा तो अब यह ख़ुद अदा कर दें और अगर यह ख़ुद मालिके निसाब न थे और वली ने अदा न किया तो बालिग़ होने या होश में आने पर उनके ज़िम्मे अदा करना नहीं।

मसअ्ला :– सदक़ए फ़ित्र अदा करने के लिए माल का बाक़ी रहना भी शर्त नहीं माल हलाक होने के बअ्द भी सदक़ए फ़ित्र वाजिब रहेगा साक़ित न होगा। जबकि ज़कात व उश्र यह दोनों माल हलाक हो जाने से साक़ित हो जाते हैं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मर्द मालिके निसाब पर अपनी तरफ़ से और अपने छोटे बच्चे की तरफ़ से वाजिब है जबकि बच्चा खुद मालिके निसाब न हो वरना उसका सदक़ए फ़ित्र उसी के माल से अदा किया जाये और मजनून औलाद अगर्चे बालिग़ हो जबकि ग़नी न हो तो उसका सदक़ए फ़ित्र उसके बाप पर वाजिब है और ग़नी हो तो खुद उसके माल से अदा किया जाये,जुनून ख़्वाह असली हो यअ्नी उसी हालत में बालिग़ हुआ या बाद को आरिज़ हुआ दोनों का एक हुक्म है। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– सदक़ए फ़ित्र वाजिब होने के लिए रोज़ा रखना शर्त नहीं अगर किसी उज़्र, सफ़र मरज़ या बुढ़ापे की वजह से या मआज़ल्लाह बिला उज़्र रोज़ा न रखा जब भी वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– नाबालिग़ लड़की जो इस क़ाबिल है कि शौहर की ख़िदमत कर सके उसका निकाह कर दिया और शौहर के यहाँ उसे भेज भी दिया तो किसी पर उसकी तरफ़ से सदक़ए फ़ित्र वाजिब नहीं न शौहर पर न बाप पर और अगर क़ाबिले ख़िदमत नहीं या शौहर के यहाँ उसे भेजा नहीं तो बदस्तूर बाप पर है फिर यह सब उस वक़्त है कि लड़की ख़ुद मालिके निसाब न हो वरना बहर हाल उसका सदक़ए फ़ित्र उसके माल से अदा किया जाये। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– बाप न हो तो दादा बाप की जगह है यअ्नी अपने फ़क़ीर व यतीम पोते पोती की तरफ़ से उसपर सदक़ा देना वाजिब है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– माँ पर अपने छोटे बच्चो की तरफ़ से सदक़ा देना वाजिब नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– ख़िदमत के ग़ुलाम व मुदब्बर (मुदब्बर उस ग़ुलाम को कहते है जिस से मालिक ने कहा कि मेरे मरने के बअ्द तू आज़ाद है) व उम्मे वलद (वह लौंडी जिससे मालिक का बच्चा पैदा हो जाये)की तरफ़ से उन के मालिक पर सदक़ए फ़ित्र वाजिब है अगर्चे ग़ुलाम मदयून (क़र्ज़दार)हो अगर्चे दैन में मुस्तग़रक (क़र्ज़ में घिरा हुआ) हो और अगर ग़ुलाम गिरवीं हो और मालिक के पास हाजते असलिया के सिवा इतना हो कि दैन अदा कर दे और फिर निसाब का मालिक रहे तो मालिक पर उसकी तरफ़ से सदक़ए फ़ित्र वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– तिजारत के ग़ुलाम का फ़ितरा मालिक पर वाजिब नहीं अगर्चे उसकी क़ीमत ब–क़द्रे निसाब न हो। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– गुलाम आ़रियतन दे दिया यअ्नी काम–काज करने के लिए मंगनी के तौ़र पर दे दिया या किसी के पास अमानत के तौ़र पर रखा तो मालिक पर फ़ित्रा वाजिब है और अगर यह वसीयत कर गया कि यह गुलाम फ़लाँ का काम करे और मेरे बअ्द उसका मालिक फ़ुलाँ है तो फ़ित्रा मालिक पर है उस पर नहीं जिसके क़ब्ज़े में है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– भागा हुआ गुलाम और वह जिसे हर्बी काफ़िरों ने क़ैद कर लिया उनकी तरफ़ से स़दक़ए फ़ित्र मालिक पर नहीं यूँही अगर किसी ने ग़स्ब कर लिया और ग़ासिब इन्कार करता है और उसके पास गवाह नहीं तो उसका फ़ित्रा भी वाजिब नहीं मगर जबकि वापस मिल जाये तो अब उनकी तरफ़ से पिछले साल का फ़ित्रा दे मगर हर्बी काफ़िर अगर गुलाम के मालिक हो गये तो वापसी के बाद भी उसका फ़ित्रा नहीं। (आ़लमगीरी,दुर्रे मुख़्तार रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– मुकातिब(मुकातिब उस गुलाम को कहते हैं जिससे मालिक ने यह कहा हो कि इतना रुपया दे दो तो आज़ाद हो जाओगे)का फ़ित्रा न मुकातिब पर है न उसके मालिक पर। यूँही मुकातिब और माज़ून के गुलाम का और मुकातिब अगर बदले किताबत अदा करने से आ़जिज़ आया तो मालिक पर गुज़रे हुए साल का फ़ित्रा नहीं। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– दो शख़्सों में गुलाम मुश्तरक है (दो हिस्से दार हैं)तो उसका फ़ित्रा किसी पर नहीं।

मसअ्ला :– गुलाम बेच डाला और बाए(बेचने वाले)या मुश्तरी(ख़रीदार)या दोनों ने वापसी का इख़्तियार रखा,ईदुल फ़ित्र आ गई और इख़्तियार की मीआ़द ख़त्म न हुई तो उसका फ़ित्रा मौक़ूफ़ है अगर बैअ् (सौदा)क़ाइम रही तो मुश्तरी दे वरना बाए। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– अगर ख़रीदार ने ख़ियारे ऐ़ब या ख़ियारे रुयत के सबब वापस किया तो अगर क़ब्ज़ा कर लिया था तो ख़रीदार पर है वरना बेचने वाले पर। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– गुलमा को बेचा मगर वह बैअ् फ़ासिद हुई और ख़रीदार ने क़ब्ज़ा करके वापस कर दिया या ईद के बाद क़ब्ज़ा करके आज़ाद कर दिया तो बेचने वाले पर है और अगर ईद से पहले क़ब्ज़ा किया और ईद के बाद आज़ाद किया तो मुश्तरी पर। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– मालिक ने गुलाम से कहा जब ईद का दिन आये तू आज़ाद है ईद के दिन गुलाम आज़ाद हो जायेगा और मालिक पर उसका फ़ित्रा वाजिब। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– अपनी औ़रत और औलाद आ़क़िल, बालिग़ का फ़ित्रा उसके ज़िम्मे नहीं अगर्चे अपाहिज हो अगर्चे उसके नफ़क़ात उसके ज़िम्मे हों। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– औ़रत या बालिग़ औलाद का फ़ित्रा उनके बग़ैर इज़्न (इजाज़त) अदा कर दिया तो अदा हो गया बशर्ते कि औलाद उसके इयाल में हो यअ्नी उसका नफ़्क़ा वग़ैरा उसके ज़िम्मे हो वरना औलाद की त़रफ़ से बिला इज़्न अदा न होगा और औ़रत ने अगर शौहर का फ़ित्रा बग़ैर हुक्म अदा कर दिया अदा न हुआ। (आ़लमगीरी,दुर्रे मुख़्तार वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– माँ–बाप,दादा–दादी नाबालिग़ भाई और दूसरे रिश्तेदारों का फ़ित्रा इसके ज़िम्मे नहीं और बग़ैर हुक्म अदा भी नहीं कर सकता (आ़लमगीरी,जौहरा)

मसअ्ला :– स़दक़ए फ़ित्र की मिक़दार यह है :– गेहूँ या उसका आटा या सत्तू निस्फ़ साअ् (2 किलो 45 ग्राम) खजूर या मुनक़्क़ा या जौ या उसका आटा या सत्तू एक साअ्। (दुर्रे मुख़्तार,आ़लमगीरी)

मसअला :– गेहूँ जौ,खजूरें ,मुनक्का दिये जायें तो उनकी कीमत का एअ्तिबार नहीं मसलन निस्फ़ साअ् उम्दा जौ जिनकी कीमत एक साअ् गेहूँ के बराबर है या निस्फ़ साअ् खजूरें दी जो एक साअ् जौ या निस्फ़ साअ् गेहूँ की कीमत की हों यह सब नाजाइज़ है जितना दिया उतना ही अदा हुआ बाकी उसके ज़िम्मे बाकी है अदा करे। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला :– निस्फ़ साअ् जौ और चहारुम साअ् गेहूँ दिए या निस्फ़ साअ् जौ और निस्फ़ साअ् खजूर तो भी जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअला :– गेहूँ और जौ मिले हुए हों और गेहूँ ज़्यादा हैं तो निस्फ़ साअ् दे वर्ना एक साअ्।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– गेहूँ और जौ के देने से उनका आटा देना अफ़ज़ल है और उससे अफ़ज़ल यह है कि कीमत दे दे ख़्वाह गेहूँ की कीमत दे या जौ की या खजूर की मगर गिरानी (मँहगाई)में खुद उनका देना कीमत देने से अफ़ज़ल है और अगर ख़राब गेहूँ या जौ की कीमत दी तो अच्छे की कीमत से जो कमी पड़े पूरी करे। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– इन चार चीज़ों के अलावा अगर दूसरी चीज़ों से फ़ितरा अदा करना चाहे मसलन चावल, ज्वार, बाजरा या और कोई ग़ल्ला या और कोई चीज़ देना चाहे तो कीमत का लिहाज़ करना होगा यअ्नी वह चीज़ आधे साअ् गेहूँ या एक साअ् जौ की कीमत की हो यहाँ तक कि रोटी दें तो उसमें भी कीमत का लिहाज़ किया जायेगा अगर्चे गेहूँ या जौ की हो।(दुर्रे मुख़्तार,आलमगीरी वग़ैरहुमा)

मसअला :– आला दर्जे की तहक़ीक और एहतियात यह है कि साअ् का वज़न तीन सौ इक्यावन रूपये भर है और निस्फ़ साअ् एक सौ पछत्तर रूपये और अठन्नी भर ऊपर। (फ़तावा रज़विया)

नोट :– आज के वज़न के हिसाब से 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ या 4 किलो 90 ग्राम जौ है।(क़ादरी)

मसअला :– फ़ितरे का मुकद्दम करना (यानी वाजिब होने से पहले पेशगी दे देना) मुतलक़न जाइज़ है जब कि वह शख़्स मौजूद हो जिसकी तरफ़ से अदा करता हो अगर्चे रमज़ान से पहले अदा कर दे और अगर फ़ितरा अदा करते वक़्त मालिके निसाब न था फिर हो गया तो फ़ितरा सही है और बेहतर यह है कि ईद की सुबहे सादिक़ होने के बअ्द और ईदगाह जाने से पहले अदा कर दे।(दुर्रे मुख़्तार,आलमगीरी)

मसअला :– एक शख़्स का फ़ितरा एक मिस्कीन को देना बेहतर है और चन्द मिस्कीनों को दे दिया जब भी जाइज़ है यूँ ही एक मिस्कीन को चन्द शख़्सों का फ़ितरा देना भी बिला ख़िलाफ़ जाइज़ है अगर्चे सब फ़ितरे मिले हुए हों। (दुर्रे मुख़्तार ,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– शौहर ने औरत को अपना फ़ितरा अदा करने का हुक्म दिया उसने शौहर के फ़ितरे के गेहूँ अपने फ़ितरे के गेहूँ में मिला कर फ़कीर को दे दिए और शौहर ने मिलाने का हुक्म न दिया था तो औरत का फ़ितरा अदा हो गया शौहर का नहीं मगर जबकि मिला देने पर उर्फ़ जारी हो यअ्नी ऐसा होता रहता हो तो शौहर का भी अदा हो जायेगा। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– औरत ने शौहर को अपना फ़ितरा अदा करने का इज़्न (इजाज़त) दिया उसने औरत के गेहूँ अपने गेहूँ में मिलाकर सब की नियत से फ़कीर को दे दिये जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअला :– सदकए फ़ित्र, के मसारिफ़ (ख़र्च करने के काबिल) वही हैं जो ज़कात के हैं यअ्नी जिनको ज़कात दे सकते हैं उन्हें फ़ितरा भी दे सकते हैं और जिन्हें ज़कात नहीं दे सकते उन्हें फ़ितरा भी नहीं दे सकते सिवा आमिल (जो ज़कात लेने के लिए बादशाह की तरफ़ से मुकर्रर किया जाये) के कि उसके लिए ज़कात है फ़ितरा नहीं। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अपने गुलाम की औरत को फ़ितरा दे सकते हैं अगर्चे उसका नफ़्क़ा उसी पर हो। (दुर्रे मुख़्तार)

सवाल किसे हलाल है और किसे नहीं

अज कल एक आम बला यह फैली हुई हैं कि अच्छे खासे तन्दरुस्त चाहें तो कमा कर औरों को खिलायें मगर उन्होंने अपने वुजूद को बेकार क़रार दे रखा है, कौन मेहनत करे मुसीबत झेले,बिना मेहनत के कुछ मिल जाये तो तकलीफ़ क्यूँ बर्दाश्त करे नाजाइज़ तौर पर सवाल करते और भीक माँग कर पेट भरते हैं और बहुतेरे ऐसे हैं कि मज़दूरी तो मज़दूरी छोटी मोटी तिजारत को बुरा ख्याल करते हैं और भीक माँगना कि हक़ीक़तन ऐसों के लिए बेइज़्ज़ती व बेग़ैरती है मायए इज़्ज़त यअ्नी इज़्ज़त की दौलत जानते हैं और बहुतों ने तो भीक माँगना अपना पेशा ही बना रखा है। घर में हज़ारों रुपये हैं सूद का लेन–देन करते हैं खेती वग़ैरा करते हैं मगर भीक माँगना नहीं छोड़ते, उन से कहा जाता है तो जवाब देते हैं कि यह हमारा पेशा है वाह साहब वाह क्या हम अपना पेशा छोड़ दें, हांलाँकि ऐसों को सवाल हराम है और जिसे उनकी हालत मअ्लूम हो उसे जाइज़ नहीं कि उनको दे। अब चन्द हदीसें सुनिये देखिए कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ऐसे साइलों (माँगने वालों) के बारे में क्या फ़रमाते हैं।

हदीस न.1 :– बुख़ारी व मुस्लिम अ़ब्दुल्ला इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ल अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं। आदमी सवाल करता रहेगा यहाँ तक कि क़ियामत के दिन इस हाल में आयेगा कि उसके चेहरे पर गोश्त का टुकड़ा न होगा यअ्नी निहायत बेआबरू हो कर।

हदीस न.2 से 4 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने हब्बान समुरा इब्ने जुन्दुब रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं सवाल एक क़िस्म की ख़राश है कि आदमी सवाल करके अपने मुँह को नोचता है जो चाहे अपने मुँह की उस ख़राश को बाक़ी रखे और जो चाहे छोड़ दे हाँ अगर आदमी साहिबे सल्तनत(बादशाह)से अपना हक़ माँगे या किसी काम में सवाल करे कि उससे छुटकारा न हो तो जाइज़ है और इसी के मिस्ल इमाम अहमद ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर और तबरानी ने जाबिर इब्ने अ़ब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की।

हदीस न.5 :– बैहक़ी ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स लोगों से सवाल करे हालाँकि न उसे फ़ाक़ा पहुँचा न इतने बाल–बच्चे हैं जिनकी ताक़त नहीं रखता तो क़ियामत के दिन इस तरह आयेगा कि उसके मुँह पर गोश्त न होगा और हुजूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिस पर न फ़ाक़ा गुज़रा और न इतने बाल–बच्चें हैं जिनकी ताक़त नहीं और सवाल का दरवाज़ा खोले अल्लाह तआ़ला उस पर फ़ाक़े का दरवाज़ा खोल देगा ऐसी जगह से जो उसके ख़्याल में भी नहीं।

हदीस न.7 :– नसई ने आइज़ इब्ने अ़म्र रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं अगर लोगों को मालूम होता कि सवाल करने से क्या

है तो कोई किसी के पास सवाल करने न जाता। इसी के मिस्ल तबरानी ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की।

हदीस न.8,9 :– इमाम अहमद व तबरानी व बज़्ज़ार इमरान इब्ने हसीन रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं ग़नी का सवाल करना क़ियामत के दिन उसके चेहरे में ऐब होगा और बज़्ज़ार की रिवायत में यह भी है कि ग़नी का सवाल आग है अगर थोड़ा दिया गया तो थोड़ी और ज़्यादा दिया तो ज़्यादा और इसी के मिस्ल इमाम अहमद व बज़्ज़ार व तबरानी ने सौबान रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की।

हदीस न.10 :– तबरानी कबीर में और इब्ने खुज़ैमा अपनी सही में और तिर्मिज़ी व बैहक़ी हबशी इब्ने जनादह रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स बग़ैर हाजत सवाल करता है गोया वह अंगारा खाता है।

हदीस न.11 :– मुस्लिम व इब्ने माजा अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं हुजूरे अक़दस सल्ल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो माल बढ़ाने के लिये सवाल करता है वह अंगारे का सवाल करता है तो चाहे ज़्यादा माँगे या कम का सवाल करे।

हदीस न.12 :– अबू दाऊद व इब्ने हब्बान व इब्ने खुज़ैमा सहल इब्ने हन्ज़लिया रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख़्स सवाल करे और उसके पास इतना है जो उसे बे–परवाह करे वह आग की ज़्यादती चाहता है। लोगों ने अर्ज़ की वह क्या मिक़दार है जिसके होते सवाल जाइज़ नहीं। फ़रमाया सुबह व शाम का खाना।

हदीस न.13 :– इब्ने हब्बान अपनी सही में अमीरुल मोमिनीन उमर फारूके अअ्ज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख़्स लोगों से सवाल करे इसलिए कि अपने माल को बढ़ाये तो वह जहन्नम का गर्म पत्थर है अब उसे इख़्तियार है चाहे थोड़ा माँगे या ज़्यादा तलब करे।

हदीस न.14 से 15 :– इमाम अहमद व अबू यअ्ला व बज़्ज़ाज़ ने अब्दुर्रहमान इब्ने औफ़ और तबरानी ने सग़ीर में उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदके से माल कम नहीं होता और हक़ माफ़ करने से क़ियामत के दिन अल्लाह तआला बन्दे की इज़्ज़त बढ़ायेगा और बन्दा सवाल का दरवाज़ा न खोलेगा मगर अल्लाह तआला उस पर मुहताजी का दरवाज़ा खोलेगा।

हदीस न.16 :– मुस्लिम व अबू दाऊद व नसई कुबैसा इब्ने मख़ारिक़ रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कहते हैं मुझ पर एक मरतबा तावान लाज़िम आया मैंने हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर सवाल किया। फ़रमाया ठहरो हमारे पास सदक़े का माल आयेगा तुम्हारे लिए हुक्म फ़रमायेंगे फिर फ़रमाया ऐ कुबैसा सवाल हलाल नहीं मगर तीन बातों में किसी ने ज़मानत की हो यअ्नी किसी क़ौम की तरफ़ से दियत (क़त्ल के बदले जो जुर्माना दिया जाये वह दियत कहलाता है)का ज़ामिन हुआ या आपस की जंग में सुलह कराई और उस पर किसी माल का ज़ामिन हुआ तो उसे सवाल हलाल है यहाँ तक कि वह मिक़दार पाये यअ्नी इतना रुपया पाये जितना ज़मानत में देना है फिर बाज़ रहे या किसी शख़्स पर आफ़त आई कि उसके माल को

तबाह कर दिया तो उसे सवाल हलाल है यहाँ तक कि बसर औक़ात(गुज़र–बसर)के लिए पा जाये या किसी को फ़ाक़ा पहुँचा और उसकी क़ौम के तीन अक़्लमन्द शख़्स गवाही दें कि फ़ुलाँ को फ़ाक़ा पहुँचा है तो उसे सवाल हलाल है यहाँ तक कि बसर औक़ात के लिए हासिल कर ले और इन तीन बातों के सिवा ऐ क़ुबैसा सवाल करना हराम है कि सवाल करने वाला हराम खाता है

नोट :– तीन शख़्सों की गवाही जुम्हूर के नज़दीक मुस्तहब है और यह हुक्म उस शख़्स के लिए है जिसका मालदार होना मालूम व मशहूर है तो बग़ैर गवाह उसका क़ौल मुसल्लम नहीं और जिसका मालदार होना मअ़लूम न हो तो फ़क़त उसका कह देना काफ़ी है।

हदीस न.17,18 :– इमाम बुख़ारी व इब्ने माजा ज़ुबैर इब्ने अव्वाम रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कोई शख़्स रस्सी लेकर जाये और अपनी पीठ पर लकड़ियों का गट्ठा लाकर बेचे और सवाल की ज़िल्लत से अल्लाह तआ़ला उसके चेहरे को बचाये यह उससे बेहतर है कि लोगों से सवाल करे कि लोग उसे दें या न दें इसी के मिस्ल इमाम बुख़ारी व मुस्लिम व इमाम तिर्मिज़ी व नसई ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की।

हदीस न.19 :– इमामे मालिक व बुख़ारी व मुस्लिम व अबू दाऊद व नसई अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा थे सदक़े का और सवाल से बचने का ज़िक्र फ़रमा रहे थे यह फ़रमाया कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है ऊपर वाला हाथ ख़र्च करने वाला है और नीचे वाला माँगने वाला।

हदीस न.20 :– इमामे मालिक व बुख़ारी व मुस्लिम व अबू दाऊद व तिर्मिजी व नसई अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि अन्सार में से कुछ लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से सवाल किया हुज़ूर ने अ़ता फ़रमाया फिर माँगा हुज़ूर ने अ़ता फ़रमाया फ़िर माँगा हुज़ूर ने अ़ता फ़रमाया यहाँ तक कि वह माल जो हुज़ूर के पास था ख़त्म हो गया फिर फ़रमाया जो कुछ मेरे पास माल होगा उसे मैं तुम से उठा न रखूँगा और जो सवाल से बचना चाहेगा अल्लाह तआ़ला उसे बचायेगा और जो ग़नी बनना चाहेगा अल्लाह तआ़ला उसे ग़नी कर देगा और जो सब्र करना चाहेगा अल्लाह तआ़ला उसे सब्र देगा और सब्र से बढ़कर और इससे ज़्यादा वसीअ़ अ़ता किसी को न मिली।

हदीस न.21 :– हज़रते अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़े अअ़ज़म उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने फ़रमाया कि लालच मुहताजी है और नाउम्मीदी तवंगरी, आदमी जब किसी चीज़ से नाउम्मीद हो जाता है तो उसकी परवाह नहीं रहती।

हदीस न.22 :– इमाम बुख़ारी व मुस्लिम फ़ारूक़े अअ़ज़म रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी फ़रमाते हैं कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मुझे अ़ता फ़रमाते तो मैं अ़र्ज़ करता किसी ऐसे को दीजिए जो मुझसे ज़्यादा हाजतमन्द हो। इरशाद फ़रमाया इसे लो और अपना कर लो और ख़ैरात कर दो जो माल तुम्हारे पास बिना लालच के और बे–माँगे आ जाये उसे ले लो और जो न आये तो उसके पीछे अपने नफ़्स को न डालो।

हदीस न.23 :– अबू दाऊद अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि एक अन्सारी ने ख़िदमते

अक़्दस में हाज़िर होकर सवाल किया। इरशाद फ़रमाया क्या तुम्हारे घर में कुछ नहीं हैं। अ़र्ज़ की है तो एक टाट है जिसका एक हिस्सा हम ओढ़ते है और एक हिस्सा बिछाते हैं और एक लकड़ी का प्याला है जिसमें हम पानी पीते हैं। इरशाद फ़रमाया मेरे हुज़ूर दोनों चीज़ों को हाज़िर करो। वह हाज़िर लाये। हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक में लेकर इरशाद फ़रमाया इन्हें कौन ख़रीदता है। एक स़ाहब नें अ़र्ज़ की एक दिरहम के एवज़ में ख़रीदता हूँ। इरशाद फ़रमाया एक दिरहम से ज़्यादा कौन देता है दो या तीन बार फ़रमाया। किसी और स़ाहब ने अ़र्ज़ की मैं दो दिरहम प़र लेता हूँ। उन्हें यह दोनों चीज़ें दे दीं और दो दिरहम ले लिए और अन्स़ारी को दोनों दिरहम देकर इरशाद फ़रमाया एक का ग़ल्ला ख़रीदकर घर डाल आओ और एक की कुल्हाड़ी ख़रीदकर मेरे पास लाओ। वह हाज़िर लाये हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से उस में बेंट डाला और फ़रमाया जाओ लकड़ी काटो और बेचो और पन्द्रह दिन तक तुम्हें न देखूँ (यअ़नी इतने दिनों तक यहाँ हाज़िर न होना)वह गये लकड़ियाँ काट कर बेचते रहे अब हाज़िर हुए तो उनके पास दस दिरहम थे,चन्द दिरहम का कपड़ा ख़रीदा और चन्द का ग़ल्ला रसूलुल्लाह़ स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया यह उससे बेहतर है कि क़ियामत के दिन सवाल तुम्हारे मुँह पर छाला होकर ज़ाहिर होता। सवाल दुरुस्त नहीं मगर तीन शख़्स के लिए ऐसी मुहताजी वाले के लिए जो उसे ज़मीन पर लिटा दे या तावान वाले के लिए जो रुसवा कर दे या ख़ून वाले (दियत यअ़नी ख़ून के बदले का जुर्माना देने)के लिए जो उसे तकलीफ़ पहुँचाये।

हदीस न.24,25 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व ह़ाकिम अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊ़द रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसे फ़ाक़ा पहुँचा और उसने लोगों के सामने बयान किया तो उसका फ़ाक़ा बन्द न किया जायेगा और अगर उसने अल्लाह तआ़ला से अ़र्ज़ की तो अल्लाह तआ़ला जल्द उसे बे–नियाज़ कर देगा ख़्वाह वह जल्द मौत दे या जल्द मालदार कर दे और त़बरानी की रिवायत अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है कि हुज़ूर ने फ़रमाया जो भूका या मुहताज हो और उसने आदमियों से छुपाया और अल्लाह तआ़ला के हुज़ूर अ़र्ज़ की तो अल्लाह तआ़ला पर ह़क़ है कि एक साल की ह़लाल रोज़ी उस पर कुशादा फ़रमाये। बाज़ माँगने वाले कह दिया करते हैं कि अल्लाह के लिए दो! ख़ुदा के वास्ते दो! ह़ालाँकि इसकी बहुत सख़्त मनाही आई है,एक ह़दीस में उसे मलऊ़न फ़रमाया गया है और एक ह़दीस में बदतरीन ख़लाइक़,और अगर किसी ने इस त़रह़ सवाल किया तो जब तक बुरी बात का सवाल न हो या ख़ुद सवाल बुरा न हो जैसे मालदार या ऐसे शख़्स का भीक माँगना जो क़वी तन्दुरुस्त,कमाने पर क़ादिर हो और यह सवाल को बिला दिक़्क़त पूरा कर सकता है तो पूरा करना ही अदब है कि कहीं ब–रूए ज़ाहिर यअ़नी ह़दीस के ज़ाहिरी मअ़ना के एअ़तिबार से यह भी उसी वईद का मुस्तह़क़ न हो ,हाँ अगर साइल मालदार हो तो न दे नीज़ यह भी लिहाज़ रहे कि मस्जिद में सवाल न करे ख़ुसूसन जुमे के दिन लोगों की गर्दनें फ़लाँग कर कि यह ह़राम है बल्कि बाज़ उलमा फ़रमाते हैं कि मस्जिद के साइल को अगर एक पैसा दिया तो सत्तर पैसे और ख़ैरात करे कि उस एक पैसे का कफ़्फ़ारा हो। मौला अ़ली रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने एक शख़्स को अ़र्फ़े के दिन अ़रफ़ात में सवाल करते देखा उसे दुर्रे लगाये और फ़रमाया कि इस दिन में और ऐसी जगह ग़ैरे ख़ुदा से

सवाल करता है? इन चन्द अहादीस के देखने से मअ्लूम हुआ होगा कि भीक माँगना बहुत ज़िल्लत की बात है बग़ैर ज़रूरत सवाल न करे अगर हाजत ही पड़ जाये तो मुबालग़ा हरगिज़ न करे कि बे–लिये पीछा न छोड़े कि इसकी भी मनाही आई है।

सदक़ाते नफ़्ल का बयान

अल्लाह तआ़ला की राह में देना निहायत अच्छा काम है। माल से तुम को फ़ायदा न पहुँचा तो तुम्हारे क्या काम आया और अपने काम का वही है जो खा–पहन लिया या आख़िरत के लिए किया न वह कि जमा किया और दूसरों के लिए छोड़ गये। इसके फ़ज़ाइल में चन्द हदीसें सुनें और उन, पर अ़मल कीजिए अल्लाह तआ़ला तौफ़ीक़ देने वाला है।

हदीस न.1 :– सही मुस्लिम शरीफ़ में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं बन्दा कहता है मेरा माल है, मेरा माल है और उसे तो उसके माल से तीन ही क़िस्म का फ़ायदा है जो खाकर फ़ना कर दिया या पहन कर पुराना कर दिया या अ़ता करके आख़िरत के लिए जमा किया और उसके सिवा जाने वाला है कि औरों के लिए छोड़ जायेगा।

हदीस न. 2 :– बुख़ारी व नसई इब्ने मसऊ़द रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं तुम में कौन है कि उसे अपने वारिस का माल अपने माल से ज़्यादा महबूब है। सहाबा ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह! हम में कोई ऐसा नहीं जिसे अपना माल ज़्यादा महबूब न हो। फ़रमाया अपना माल तो वह है जो आगे रवाना कर चुका और जो पीछे छोड़ गया वह वारिस का माल है।

हदीस न. 3 :– इमाम बुख़ारी अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं अगर मेरे पास उहुद(अ़रब के एक पहाड़ का नाम)बराबर सोना हो तो मुझे यही पसन्द आता है कि तीन रातें न गुज़रने पायें और उसमें का मेरे पास कुछ रह जाये हाँ अगर मुझ पर दैन (क़र्ज़)हो तो उसके लिए कुछ रख लूँगा।

हदीस न. 4,5 :– सही मुस्लिम में उन्हीं से मरवी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कोई दिन ऐसा नहीं कि सुबह होती है मगर दो फ़रिश्ते नाज़िल होते हैं और उनमें एक कहता है ऐ अल्लाह! ख़र्च करने वाले को बदला दे और दूसरा कहता है ऐ अल्लाह ! रोकने वाले के माल को तल्फ़ (बरबाद)कर और इसी के मिस्ल इमाम अहमद व इब्ने हब्बान व हाकिम ने अबूदरदा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की।

हदीस न.6 :– सहीहैन में है कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने असमा रदि–यल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से फ़रमाया ख़र्च कर और शुमार न कर कि अल्लाह तआ़ला शुमार करके देगा और बन्द न कर कि अल्लाह तआ़ला भी तुझ पर बन्द कर देगा कुछ दे जो तुझे इस्तिताअ़त हो।

हदीस न.7 :– नीज़ सहीहैन में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया ऐ इब्ने आदम! ख़र्च कर मैं तुझ पर ख़र्च करूँगा।

हदीस न.8 :– सही मुस्लिम व सुनने तिर्मिज़ी में अबू उमामा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐ इब्ने आदम! बचे हुए का ख़र्च करना तेरे लिए बेहतर है और उसका रोकना तेरे लिए बुरा है और ब–क़द्र ज़रूरत रोकने पर मलामत(बुराई)नहीं और उनसे शुरूअ् कर जो तेरी परवरिश में हैं।

हदीस न.9 :– सहीहैन में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया बख़ील(कंजूस)और सदक़ा देने वाले की मिसाल उन दो शख़्सों की है जो लोहे की ज़िरह पहने हुए हैं जिन के हाथ सीने और गले से जकड़े हुए हैं तो सदक़ा देने वाले ने जब सदक़ा दिया वह ज़िरह कुशादा हो गई(फैल गई)और बख़ील (कंजूस)जब सदक़ा देने का इरादा करता है हर कड़ी अपनी जगह को पकड़ लेती है वह कुशादा करना भी चाहता है तो कुशादा नहीं होती।

हदीस न.10 :– सही मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं ज़ुल्म से बचो कि ज़ुल्म क़ियामत के दिन तारीकियाँ है और बुख़्ल (कंजूसी)से बचो कि बुख़्ल ने अगलों को हलाक किया । इसी बुख़्ल ने उन्हें ख़ून बहाने और हराम को हलाल करने पर आमादा किया।

हदीस न.11 :– नीज़ उसी में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी एक शख़्स ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह!किस सदक़े का ज़्यादा अज्र है ? फ़रमाया उसका कि सेहत की हालत में हो और लालच हो मुहताजी का डर हो और तवंगरी (मालदारी)की आरज़ू यह नहीं कि छोड़े रहे और जब जान गले को आ जाये तो कहे इतना फ़ुलाँ को और इतना फ़ुलाँ को देना और यह तो फ़ुलाँ का हो चुका है यअ्नी वारिस का।

हदीस न.12 :– सहीहैन में अबूज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और हुज़ूर काबए मुअज़्ज़मा के साए में तशरीफ़ फ़रमा थे मुझे देख कर फ़रमाया क़सम है रब्बे कअ्बा की वह टोटे (घाटे)में है। मैंने अर्ज़ की मेरे बाप माँ हुज़ूर पर क़ुर्बान वह कौन लोग हैं। फ़रमाया ज़्यादा माल वाले मगर जो इस तरह और इस तरह और इस तरह करे आगे पीछे दाहिने बायें यानी हर मौक़े पर ख़र्च करे और ऐसे लोग बहुत कम हैं।

हदीस न.13 :– सुनने तिर्मिज़ी में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया सख़ी क़रीब है अल्लाह से,क़रबी है जन्नत से, क़रीब है आदमियों से, दूर है जहन्नम से, और बख़ील दूर है अल्लाह से, दूर है जन्नत से,दूर है आदमियों से ,क़रीब है जहन्नम से,और जाहिल सख़ी अल्लाह के नज़्दीक ज़्यादा प्यारा है बख़ील आबिद से।

हदीस न.14 :– सुनने अबू दाऊद में अबू सईद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया आदमी का अपनी ज़िन्दगी (यअ्नी सेहत)में एक दिरहम सदक़ा करना मरते वक़्त के सौ दिरहम सदक़ा करने से ज़्यादा बेहतर है।

हदीस न.15 :– इमाम अहमद व नसई व दारमी व तिर्मिज़ी अबूदरदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स मरते वक़्त सदक़ा देता है या आज़ाद करता है उसकी मिसाल उस शख़्स की है कि जब आसूदा हो लिया तो हदया करता है। (मसलन किसी के पास पाँच रोटी थीं और उससे किसी ने सदक़ा माँगा उसने न दी अगर दो

दे देता और तीन पर गुज़ारा करता तो बेहतर था लेकिन चार खाईं और जब एक या कम जो पेट में जगह रहने से मजबूरन बची तो माँगने वाले को दे दी।)

हदीस न.16 :– सही मुस्लिम शरीफ़ में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं एक शख़्स जंगल में था उसने अब्र में एक आवाज़ सुनी कि फ़ुलाँ के बाग़ को सैराब करो वह अब्र एक किनारे को हो गया और उसने पानी संगिस्तान(पथरीली ज़मीन)में गिराया और एक नाली ने वह सारा पानी ले लिया वह शख़्स पानी के पीछे हो लिया, एक शख़्स को देखा कि अपने बाग़ में खड़ा हुआ खुरपिया से पानी फेर रहा है। इसने कहा ऐ अल्लाह के बन्दे! तेरा क्या नाम है? उसने कहा फ़ुलाँ नाम,वही नाम जो इसने अब्र में से सुना। उसने कहा ऐ अल्लाह के बन्दे। तू मेरा नाम क्यूँ पूछता है? इसने कहा मैंने उस अब्र में से जिस का यह पानी है एक आवाज़ सुनी कि वह तेरा नाम लेकर कहता है फ़ुलाँ के बाग़ को सैराब कर तो तू क्या करता है (कि तेरा नाम ले लेकर पानी भेजा जाता है) जवाब दिया कि जो कुछ पैदा होता है उसमें से एक तिहाई ख़ैरात करता हूँ और एक तिहाई मैं और मेरे बाल–बच्चे खाते हैं और एक तिहाई बोने के लिये रखता हूँ।

हदीस न.17 :– सहीहैन में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं बनी इस्राईल में तीन शख़्स थे एक बर्स (सफ़ेद दाग़) वाला, दूसरा गंजा, तीसरा अंधा। अल्लाह तआला ने उनका इम्तिहान लेना चाहा,उनके पास एक फ़रिश्ता भेजा। वह फ़रिश्ता बर्स वाले के पास आया। उससे पूछा तुझे क्या चीज़ ज़्यादा महबूब है। उसने कहा अच्छा रंग और अच्छा चमड़ा और यह बात जाती रहे जिससे लोग घिन करते हैं। फ़रिश्ते ने उस पर हाथ फेरा वह घिन की चीज़ जाती रही और अच्छा रंग और अच्छी खाल उसे दी गई । फ़रिश्ते ने कहा तुझे कौन सा माल ज़्यादा महबूब है। उसने ऊँट कहा या गाय (रावी का शक है मगर बर्स वाले और गंजे में से एक ने ऊँट कहा दूसरे ने गाय)उसे दस महीने की हामिला ऊँटनी दी और कहा कि अल्लाह तआला तेरे लिए इसमें बरकत दे फिर गंजे के पास आया। उसे कहा तुझे क्या शय ज़्यादा महबूब है। उसने कहा खुबसूरत बाल और यह जाता रहे जिससे लोग मुझ से घिन करते हैं। फ़रिश्ते ने उस पर हाथ फेरा वह बात जाती रही और खूबसूरत बाल उसे दिये गये। उससे कहा तुझे कौन सा माल महबूब है। उसने गाय बताई। एक गाभन गाय उसे दी गई और कहा अल्लाह तआला तेरे लिए इसमें बरकत दे फिर अन्धे के पास आया और कहा तुझे क्या चीज़ महबूब है। उसने कहा यह कि अल्लाह तआला मेरी निगाह वापस कर दे कि मैं लोगों को देखूँ । फ़रिश्ते ने हाथ फेरा अल्लाह तआला ने उसकी निगाह वापस कर दी। फ़रिश्ते ने पूछा तुझे कौन सा माल ज़्यादा पसन्द है। उसने कहा बकरी। उसे एक गाभन बकरी दी। अब ऊँटों से जंगल भर गया,दूसरे के लिए गाय से, तीसरे के लिए बकरियों से। फिर वही फ़रिश्ता बर्स वाले के पास उसकी सूरत और हैअत (बनावट)में होकर आया (यअ्नी बर्स वाला बनकर)और कहा मैं मिस्कीन मर्द हूँ मेरे सफ़र में वसाइल ख़त्म हो गये पहुँचने की सूरत मेरे लिए आज नज़र नहीं आती अल्लाह की मदद से फिर तेरी मदद से मैं उसके वास्ते से जिसने तुझे खूबसूरत रंग और अच्छा चमड़ा और माल दिया है एक ऊँट का सवाल करता हूँ। जिससे मैं सफ़र में मक़सद तक पहुँच जाऊँ,। उसने जवाब दिया हुकूक़ बहुत हैं। फ़रिश्ते ने कहा गोया मैं तुझे पहचानता हूँ, क्या तू कोढ़ी न था कि लोग तुझसे घिन करते थे फ़कीर न था फिर अल्लाह ने तुझे माल दिया। उस ने कहा मैं तो इस माल

का बाप–दादा से वारिस किया गया हूँ । फ़रिश्ते ने कहा अगर तू झूटा है तो अल्लाह तआ़ला तुझे वैसा ही कर दे जैसा तू था। फिर गन्जे के पास उसी की सूरत बन कर आया। उससे भी वही कहा। उसने भी वैसा ही जवाब दिया । फ़रिश्ते ने कहा अगर तू झूटा है तो अल्लाह तआ़ला तुझे वैसा ही कर दे जैसा तू था। फिर अन्धे के पास उसकी सूरत व हैयत बन कर आया और कहा मैं मिस्कीन शख़्स मुसाफ़िर हूँ मेरे सफ़र में वसाइल ख़त्म हो गये आज पहुँचने की सूरत नहीं मगर अल्लाह की मदद से फिर तेरी मदद से मैं उसके वसीले से जिसने तुझे निगाह दी एक बकरी का सवाल करता हूँ जिसकी वजह से मैं अपने सफ़र में मक़सद तक पहुँच जाऊँ। वह कहने लगा मैं अन्धा था अल्लाह तआ़ला ने मुझे आँखें दीं तू जो चाहे ले ले और जितना चाहे छोड़ दे ख़ुदा की क़सम अल्लाह के लिए तू जो कुछ लेगा मैं तुझ पर मशक़्क़त न डालूँगा। फ़रिश्ते ने कहा तू अपना माल अपने कब्ज़े में रख,बात यह है कि तुम तीनों शख़्सों का इम्तिहान था तेरे लिए अल्लाह की रज़ा है और उन दोनों पर नाराज़गी।

हदीस न.18 :– इमाम अहमद व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी उम्मे बुजैद रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रावी कहती हैं मैंने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह!मिस्कीन दरवाज़े पर खड़ा होता हैं और मुझे शर्म आती है कि घर में कुछ नहीं होता कि उसे दूँ। इरशाद फ़रमाया उसे कुछ दे दे अगर्चे जला हुआ खुर।

हदीस न.19 :–बैहक़ी ने दलाइले नुबुव्वत में रिवायत की कि उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हा की ख़िदमत में गोश्त का टुकड़ा हदया में आया। हुज़ूरे अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को गोश्त पसन्द था उन्होंने ख़ादिमा से कहा इसे घर में रख दे शायद हुज़ूर तनावुल फ़रमायें। उस ने ताक़ में रख दिया एक साइल आकर दरवाज़े पर खड़ा हुआ और कहा स़दक़ा करो अल्लाह तआ़ला तुम में बरकत देगा। लोगों ने कहा तुझमें बरकत दे (साइल को वापस करना होता तो यह लफ़्ज़ बोलते थे)साइल चला गया। हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ लाये और फ़रमाया तुम्हारे यहाँ कुछ खाने की चीज़ है। उम्मुल मोमिनीन ने अ़र्ज़ की हाँ और ख़ादिमा से फ़रमाया जा वह गोश्त ले आ। वह गई तो ताक़ में पत्थर का एक टुकड़ा पाया। हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया चूँकि तुमने साइल को न दिया लिहाज़ा वह गोश्त पत्थर हो गया।

हदीस न.20 :– बैहक़ी शोअ़बुल ईमान में अबू हुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया सख़ावत जन्नत में एक दरख़्त है जो सख़ी है उसने उसकी टहनी पकड़ ली है वह टहनी उसको न छोड़ेगी जब तक जन्नत में दाख़िल न कर ले और बुख़्ल जहन्नम में एक दरख़्त है जो बख़ील है उसने उसकी टहनी पकड़ ली है वह टहनी उसे जहन्नम में दाख़िल किए बग़ैर न छोड़ेगी।

हदीस न.21 :– रज़ीन ने ह़ज़रते मौला अ़ली रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया स़दक़ा में जल्दी करो कि बला स़दक़े को नहीं फलाँगती।

हदीस न.22 :– सहीहैन में अबू मुसा अशअ़री रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है हर मुसलमान पर स़दक़ा है। लोगों ने अ़र्ज़ की अगर न पाये। फ़रमाया अपने हाथ से काम करे अपने को नफ़ा पहुँचाये और स़दक़ा भी दे। फ़रमाया साहिबे हाजत परेशान (यानी जिस शख़्स को कुछ ज़रूरत हो या परेशान हो)की मदद करे। अ़र्ज़ की अगर यह भी न करे। फ़रमाया नेकी का हुक्म करे। अ़र्ज़ की अगर यह भी न करे। फ़रमाया शर

से बाज़ रहे कि यही उसके लिए सदक़ा है।

हदीस न.23 :– सहीहैन में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं दो शख़्सों में अद्ल(इन्साफ़)करना सदक़ा है, किसी को जानवर पर सवार होने में मदद देना या उसका असबाब उठा देना सदक़ा है और अच्छी बात सदक़ा है और जो क़दम नमाज़ की तरफ़ चलेगा सदक़ा है,रास्ते से अज़ीयत की चीज़ दूर करना सदक़ा है।

हदीस न.24 :– सही बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो मुसलमान पेड़ लगाये या खेत बोये उसमें से किसी आदमी या परिन्दे या चौपाए ने खाया वह सब उसके लिए सदक़ा है।

हदीस न. 25, 26 :–सुनने तिर्मिज़ी में अबू ज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं अपने भाई के सामने मुस्कुराना भी सदक़ा है,नेक बात का हुक्म करना सदक़ा है, बुरी बात से मना करना सदक़ा है,राह भूले हुए को राह बताना सदक़ा है,कमज़ोर निगाह वाले की मदद करना सदक़ा है। रास्ते से पत्थर काँटा, हड्डी दूर करना सदक़ा है। अपने डोल में से अपने भाई के डोल में पानी डाल देना सदक़ा है। इसी के मिस्ल इमाम अहमद व तिर्मिज़ी ने जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की।

हदीस न.27 :– सहीहैन में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं एक दरख़्त की शाख़ बीच रास्ते पर थी एक शख़्स गया और कहा मैं इसको मुसलमानों के रास्ते से दूर कर दुँगा कि उनको ईज़ा(तकलीफ़)न दे वह जन्नत में दाख़िल कर दिया गया।

हदीस न.28 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी अबू सईद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो मुसलमान किसी मुसलमान नंगे को कपड़ा पहना दे अल्लाह तआला उसे जन्नत के सब्ज़ कपड़े पहनायेगा और जो मुसलमान किसी भूके मुसलमान को खाना खिलायेगा और जो मुसलमान किसी प्यासे मुसलमान को पानी पिलाये अल्लाह तआला उसे रहीक़े मख़तूम (यअ़नी जन्नत की मोहरबन्द शराब)पिलायेगा।

हदीस न.29 :– इमाम अहमद व तिर्मिज़ी इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो मुसलमान किसी मुसलमान को कपड़ा पहना दे तो जब तक उसमें का उस शख़्स पर एक पैवन्द भी रहेगा यह अल्लाह तआला की हिफ़ाज़त में रहेगा।

हदीस न.30,31 :– तिर्मिज़ी व इब्ने हब्बान अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं सदक़ा अल्लाह तआला के ग़ज़ब को बुझाता है और बुरी मौत को दफ़ा करता है। नीज़ इसी के मिस्ल अबूबक सिद्दीक़ व दीगर सहाबए किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम से मरवी।

हदीस न.32 :– तिर्मिज़ी ने उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की लोगों ने एक बकरी ज़बह की थी,हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया उसमें से क्या बाक़ी रहा। अर्ज़ की सिवा शाने के कुछ बाक़ी नहीं। इरशाद फ़रमाया शाने के सिवा सब बाक़ी है। (मतलब यह है कि जो तुमने अपने खाने के लिए रोका वह तो दुनिया का है

और यहीं ख़त्म हो जायेगा और जो तुमने सदका कर दिया वह बाकी है यअ़्नी आख़िरत के लिए उसका सवाब बाकी रहा)

हदीस न.33 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हब्बान अबू ज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं तीन शख़्सों को अल्लाह महबूब रखता है और तीन शख़्सों को मबग़ूज़ (दुश्मन)जिनको अल्लाह महबूब रखता है उनमें एक यह है कि एक शख़्स किसी कौम के पास आया और उनसे अल्लाह के नाम पर सवाल किया,उस कराबत के वास्ते से सवाल न किया जो साइल और कौम के दरमियान है। उन्होंने न दिया। उनमें से एक शख़्स चला गया और साइल को छुपा कर दिया कि उसको अल्लाह जानता है और वह शख़्स जिसको दिया और किसी ने न जाना, और एक कौम रात भर चली यहाँ तक कि जब उन्हें नींद हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी हो गई सब ने सर रख दिये(यअ़्नी सो गये)उनमें से एक शख़्स खड़ा होकर दुआ करने लगा और अल्लाह की आयतें पढ़ने लगा और एक शख़्स लश्कर में था, दुश्मन से मुकाबला हुआ और इन को शिकस्त हुई। उस शख़्स ने अपना सीना आगे कर दिया यहाँ तक कि क़त्ल किया जाये या फ़तह हो और वह तीन जिन्हें अल्लाह नापसन्द फ़रमाता है एक बूढ़ा ज़िनाकार, दूसरा फ़कीर मुतकब्बिर(घमंडी)तीसरा मालदार ज़ालिम।

हदीस न.34 :– तिर्मिज़ी ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जब अल्लाह ने ज़मीन पैदा फ़रमाई तो उसने हिलना शुरूअ़ किया तो पहाड़ पैदा फ़रमा कर उस पर नसब फ़रमा दिये,अब ज़मीन ठहर गई। फ़रिश्तों को पहाड़ की सख़्ती देखकर तअ़ज्जुब हुआ। अ़र्ज़ की ऐ परवरदिगार तेरी मख़लूक़ में कोई ऐसी शय है कि वह पहाड़ से ज़्यादा सख़्त है फ़रमाया हाँ लोहा। अ़र्ज़ की ऐ रब! लोहे से ज़्यादा सख़्त कोई चीज़ है। फ़रमाया हाँ आग। अ़र्ज़ की आग भी ज़्यादा कोई सख़्त है फ़रमाया हाँ पानी। अ़र्ज़ की पानी से भी ज़्यादा सख़्त कुछ है। फ़रमाया हाँ हवा । अ़र्ज़ की हवा से भी ज़्यादा सख़्त कोई शय है। फ़रमाया इब्ने आदम कि दाहिने हाथ से सदका करता है और उसे बायें से छुपाता है।

हदीस न.35 :– नसई ने अबू ज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो मुसलमान अपने कुल माल से अल्लाह की राह में जोड़ा ख़र्च करे जन्नत के दरबान उसका इस्तिकबाल करेंगे। हर एक उसे उसकी तरफ़ बुलायेगा जो उसके पास है। मैंने अ़र्ज़ की इसकी क्या सूरत है। फ़रमाया अगर ऊँट दे तो दो ऊँट और गाय दे तो दो गाय।

हदीस न.36 :– इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा मआज़ रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया सदका ख़ता को ऐसे दूर करता है जैसे पानी आग को बुझाता है।

हदीस न.37 :– इमाम अहमद बाज़ सहाबा रदियल्लाहु तआला अन्हुम से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मुसलमान का साया क़ियामत के दिन उसका सदका होगा।

हदीस न.38 :–सही बुख़ारी में अबू हुरैरा व हकीम इब्ने हिज़ाम रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं बेहतर सदका वह है कि पुश्ते गिना से

हो यअ्नी उसके बअ्द तवंगरी (मालदारी)बाक़ी रहे और उनसे शुरूअ् करो जो तुम्हारी इ़याल में हैं यअ्नी पहले उन को दो फिर औरों को।

हदीस न.39 :—अबू मसऊ़द रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से स़हीहैन में मरवी कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया मुसलमान जो कुछ अपने अहल पर ख़र्च करता है अगर सवाब के लिए है तो यह भी स़दक़ा है।

हदीस न.40 :—ज़ैनब ज़ौजा अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊ़द रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से स़हीहैन में मरवी उन्होंने हुज़ूरे अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से दरयाफ़्त कराया शौहर और यतीम बच्चे जो परवरिश में हैं उनको स़दक़ा देना काफ़ी हो सकता है। इरशाद फ़रमाया उनको देने में दूना अज्र है एक अज्रे क़राबत और एक अज्रे स़दक़ा। यानी क़रीब का होने की वजह से देने का सवाब और दूसरा स़दक़ा का

हदीस न.41 :— इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा व दारमी सुलैमान इब्ने आ़मिर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्ल्म ने फ़रमाया मिस्कीन को स़दक़ा देना सिर्फ़ स़दक़ा है और रिश्ते वाले को देना स़दक़ा का भी है और सिलारहमी भी।

हदीस न.42 :— इमाम बुख़ारी व मुस्लिम उम्मुल मोमिनीन सि़द्दीक़ा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रावी रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम फ़रमाते हैं घर में जो खाने की चीज़ है अगर औ़रत उसमें से कुछ दे दे मगर ज़ाय़ करने के तौ़र पर न हो तो उसे देने का सवाब मिलेगा और शौहर को कमाने का सवाब मिलेगा और ख़ाज़िन(भण्डारी)को भी उतना ही सवाब मिलेगा। एक का अज्र दूसरे के अज्र को कम न करेगा यअ्नी उस सूरत में जहाँ ऐसी आ़दत जारी हों कि औ़रतें दिया करती हों और शौहर मना न करते हों और उसी ह़द तक जो आ़दत के मुवाफ़िक़ है मसलन रोटी दो रोटी जैसा हिन्दुस्तान में उ़मूमन रिवाज है और अगर शौहर ने मना कर दिया हो या वहाँ की ऐसी आ़दत न हो तो बग़ैर इजाज़त औ़रत को देना जाइज़ नहीं तिर्मिज़ी में अबू उ़मामा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि हुज़ूर ने ख़ुत़बए ह़ज्जतुलविदा (आख़िरी ह़ज के ख़ुत़बा) में फ़रमाया औ़रत शौहर के घर से बग़ैर इजाज़त कुछ ख़र्च न करे। अ़र्ज़ की गई खाना भी नहीं फ़रमाया यह तो बहुत अच्छा माल है।

हदीस न.43 :— स़हीहैन में अबू मूसा अशअ़री रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी हुज़ूरे अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ख़ाज़िन मुसलमान अमानतदार कि जो उसे हुक्म किया गया पूरा–पूरा–उसको दे देता है वह दो स़दक़ा देने वालों में का एक है।

हदीस न.44 :— हाकिम और त़बरानी औसत में अबू हुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि एक लुक़मा रोटी और एक मुट्ठी ख़ुरमा (खजूर)और उसकी मिस्ल कोई और चीज़ जिससे मिस्कीन को नफ़ा पहुँचे इनकी वजह से अल्लाह तआ़ला तीन शख़्सों को जन्नत में दाख़िल फ़रमाता है एक साहिबेख़ाना जिसने हुक्म दिया, दूसरी ज़ौजा कि उसे तैयार करती है, तीसरे ख़ादिम जो मिस्कीन को दे आता है फिर हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम ने फ़रमाया ह़म्द है अल्लाह के लिए जिसने हमारे ख़ादिमों को भी न छोड़ा।

हदीस न.45 :– इब्ने माजा जाबिर इब्ने अ़ब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रावी कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने खुतबे में फ़रमाया ऐ लोगो! मरने से पहले अल्लाह की तरफ़ रुजूअ़ करो और मशग़ूली से पहले अअ़माले सालेहा की तरफ़ सबक़त करो और पोशीदा व अ़लानिया सदक़ा देकर अपने और अपने रब के दरमियान के तअ़ल्लुक़ात को मिलाओ तो तुम्हें रोज़ी दी जायेगी और तुम्हारी मदद की जायेगी।

हदीस न.46 :– सहीहैन में अ़दी इब्ने हातिम रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं हर शख़्स से अल्लाह तआ़ला कलाम फ़रमायेगा उसके और अल्लाह तआ़ला के माबैन(बीच में)कोई तर्जमान न होगा यअ़नी डाइरेक्ट बात करेगा वह अपनी दाहिनी तरफ़ नजर करेगा तो जो कुछ पहले कर चुका है दिखाई देगा फिर बाईं तरफ़ देखेगा तो वही देखेगा जो पहले कर चुका है फिर अपने सामने नज़र करेगा तो मुँह के सामने आग दिखाई देगी तो आग से बचो अगर्चे खुरमे का एक टुकड़ा देकर और इसी के मिस्ल अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊ़द व सिद्दीके अकबर व उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा व अनस व अबू हुरैरा व अबू उमामा व नोमान इब्ने बशीर वग़ैरहुम सहाबए किराम रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुम से मरवी।

हदीस न.47 :– अबू यअ़ला जाबिर और तिर्मिज़ी मआ़ज़ इब्ने जबल रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ल अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया सदक़ा ख़ता को ऐसे बुझाता है जैसे पानी आग को।

हदीस न.48 :– इमाम अहमद व इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हब्बान व हाकिम उक़बा इब्ने आमिर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं हर शख़्स क़ियामत के दिन अपने सदक़े के साए में होगा। उस वक़्त तक कि लोगों के दरमियान फ़ैसला हो जाये और तबरानी की रिवायत में यह भी है कि सदक़ा क़ब्र की हरारत (गर्मी) को दफ़ा करता है।

हदीस न.49 :– तबरानी व बैहक़ी हसन बसरी रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं रब तआ़ला फ़रमाता है ऐ इब्ने आदम! अपने ख़ज़ाने में से मेरे पास कुछ जमा कर दे न जलेगा, न डूबेगा न चोरी जायेगा। तुझे मैं पूरा दूँगा, उस वक़्त कि तू उसका ज़्यादा मुहताज होगा।

हदीस न. 50, 51 :– इमाम अहमद व बज़्ज़ाज़ व तबरानी व इब्ने खुज़ैमा व हाकिम व बैहक़ी बुरीदा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से और बैहक़ी अबू ज़र रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि आदमी जब कभी भी कुछ भी सदक़ा निकालता है तो सत्तर शैतान के जबड़े चीर कर निकलता है।

हदीस न. 52 :– तबरानी ने अम्र इब्ने औफ़ रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि मुसलमान का सदक़ा उम्र में ज़्यादती का सबब है और बुरी मौत को दफ़ा करता है और अल्लाह तआ़ला उसकी वजह से तकब्बुर व फ़ख़्र को दूर फ़रमा देता है।

हदीस न.53 :– तबरानी कबीर में राफ़ेअ़ इब्ने ख़दीज रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि सदक़ा बुराई के सत्तर दरवाज़े को बन्द कर देता है।

हदीस न. 54 :– तिर्मिज़ी व इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हब्बान व हाकिम हारिस अशअ़री रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआ़ला ने यहया इब्ने ज़करिया अ़लैहिमस्सलातु वस्सलाम को पाँच बातों की वही भेजी कि खुद अ़मल करें और बनी इस्राईल को हुक्म फ़रमायें कि वह उन पर अ़मल करें और उन में एक यह है कि उसने तुम्हें सदक़े का हुक्म फ़रमाया है और उसकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी को दुश्मन ने क़ैद किया और उसका हाथ गर्दन से मिलाकर बाँध दिया और उसे मारने के लिए लाये, उस वक़्त थोड़ा–बहुत जो कुछ था सब को देकर अपनी जान बचाई।

हदीस न.55 :– इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हब्बान व हाकिम अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसने हराम माल जमा किया फिर उसे सदक़ा किया तो उस में उसके लिए कुछ सवाब नहीं बल्कि गुनाह है।

हदीस न.56 :– अबू दाऊद इब्ने खुज़ैमा व हाकिम उन्हीं से रावी अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह! कौनसा सदक़ा अफ़ज़ल है फ़रमाया ग़रीब शख़्स को कोशिश करके सदक़ा देना।

हदीस न. 57 :–नसई व इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हब्बान उन्हीं से रावी कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया एक दिरहम लाख दिरहम से बढ़ गया। किसी ने अ़र्ज़ की यह क्यूँकर या रसूलल्लाह ! फ़रमाया एक शख़्स के पास ज़्यादा माल है उस ने उस में से लाख दिरहम लेकर सदक़ा किये और एक शख़्स के पास सिर्फ़ दो हैं उसने उनमें से एक को सदक़ा किया।

रोज़े का बयान

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है :–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا
فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَ اَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ
اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَ مَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ
يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ
عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ
قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَ لْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ
يَرْشُدُوْنَ ۝ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ؕ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ
اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ
عَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَ ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا

حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْاَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ص ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّیَامَ اِلَی الَّیْلِ ج وَلَا تُبَاشِرُوْھُنَّ وَ اَنْتُمْ عٰکِفُوْنَ فِی الْمَسٰجِدِ ط تِلْکَ حُدُوْدُ اللّٰہِ فَلَا تَقْرَبُوْھَا ط کَذٰلِکَ یُبَیِّنُ اللّٰہُ اٰیٰتِہٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّھُمْ یَتَّقُوْنَ٥

तर्जमा :– " ऐ ईमान वालो !तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जैसा उन पर फ़र्ज़ हुआ था जो तुम से पहले हुए ताकि तुम गुनाहों से बचो चन्द दिनों का फिर तुम में जो कोई बीमार हो या सफ़र में हो वह और दिनों में गिनती पूरी करे और जो ताक़त नहीं रखते वह फ़िदया दें एक मिस्कीन का खाना फिर जो ज़्यादा भलाई करे तो यह उसके लिए बेहतर है और रोज़ा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। माहे रमज़ान जिस में क़ुर्आन उतारा गया लोगों की हिदायत को और हिदायत हक़ व बातिल में जुदाई बयान करने के लिए तो तुम में जो कोई यह महीना पाये उसका रोज़ा रखे और जो बीमार या सफ़र में हो वह दूसरे दिनों में गिनती पूरी करे, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का इरादा करता है सख़्ती का इरादा नहीं फ़रमाता और तुम्हें चाहिए कि गिनती पूरी करो और अल्लाह की बड़ाई बोलो कि उसने तुम्हें हिदायत की और इस उम्मीद पर कि उसके शुक्रगुज़ार हो जाओ और ऐ महबूब ! जब मेरे बन्दे तुम से मेरे बारे में सवाल करें तो मैं नज़दीक हूँ दुआ करने वाले की दुआ सुनता हूँ जब यह मुझे पुकारें तो उन्हें चाहिए कि मेरी बात कबूल करें और मुझ पर ईमान लायें इस उम्मीद पर कि राह पायें। तुम्हारे लिए रोज़े की रात में औरतों से जिमा(हमबिस्तरी)हलाल किया गया वह तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास। अल्लाह को मअ़लूम है कि तुम अपनी जानों पर ख़ियानत करते हो तो तुम्हारी तौबा कबूल की और तुम से मुआफ़ फ़रमाया तो अब उनसे जिमा करो और उसे चाहो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा और खाओ और पियो उस वक़्त तक कि फ़ज्र का सफ़ेद डोरा सियाह डोरे से मुमताज़ हो जाये फिर रात तक रोज़ा पूरा करो और उनसे जिमा न करो उस हाल में कि तुम मस्जिद में मोअ्तकिफ़ हो यह अल्लाह की हदें हैं इनके क़रीब न जाओ अल्लाह अपनी निशानियाँ यूँही बयान फ़रमाता है कि कहीं वह बचें"। रोज़ा बहुत उमदा इबादत है उसकी फ़ज़ीलत में बहुत हदीसें आयीं उनमें से बाज़ ज़िक्र की जाती है।

हदीस न.1 :– सही बुख़ारी व सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जब रमज़ान आता है आसमान के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं एक रिवायत में है जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं एक रिवायत में है कि रहमत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं और शैतान ज़न्जीरों में जकड़ दिये जाते हैं और इमाम अहमद और तिर्मिज़ी व इब्ने माजा की रिवायत में है कि जब माहे रमज़ान की पहली रात होती है तो शैतान और सरकश जिन्न क़ैद कर लिये जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं तो इनमें से कोई दरवाज़ा खोला नहीं जाता और जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं तो इनमें से कोई दरवाज़ा बन्द नहीं किया जाता और मुनादी पुकारता है,ऐ ख़ैर तलब करने वाले! मुतवज्जे हो,और ऐ शर के चाहने वाले! बाज़ रह और कुछ लोग जहन्नम से आज़ाद होते हैं और यह हर रात में होता हैं इमाम अहमद व नसई की रिवायत उन्हीं से है कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया रमज़ान आया यह बरकत का महीना है अल्लाह तआ़ला ने इसके रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किये इस में आसमान के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और दोज़ख़ के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं और सरकश शैतानों के तौक़ डाल दिये

जाते हैं और इसमें एक रात ऐसी है जो हज़ार महीनों से बहतर है जो उसकी भलाई से महरूम रहा बेशक महरूम है।

हदीस न.2 :– इब्ने माजा हज़रते अनस रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कहते हैं रमज़ान आया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया यह महीना आया इसमें एक रात हज़ार महीनों से बेहतर है जो इससे महरूम रहा हर चीज़ से महरूम रहा और उसकी ख़ैर से वही महरूम होगा जो पूरा महरूम है।

हदीस न.3 :– बैहक़ी शोअ़बुल ईमान में इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रावी कहते हैं जब रमज़ान का महीना आता रसूलुल्लाह स़ल्ललाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम क़ैदियों को रिहा फ़रमा देते और साइल को अ़ता फ़रमाते।

हदीस न.4 :– बैहक़ी शोअ़बुल ईमान में इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रावी कि नबी स़ल्ललाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जन्नत इब्तिदाए साल यअ़्नी शुरूअ़् साल से साले आइन्दा (आने वाले साल)तक रमज़ान के लिए आरास्ता की जाती है (सजाई जाती है)जब रमज़ान का पहला दिन आता है तो जन्नत के पत्तों से अ़र्श के नीचे एक हवा हूरों पर चलती है वह कहती हैं ,ऐ रब ! तू अपने बन्दों से हमारे लिए उनको शौहर बना जिन से हमारी आँखें ठण्डी हों और उनकी आँखें हम से ठण्डी हों।

हदीस न.5 :– इमाम अहमद अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि हुज़ूरे अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं रमज़ान की आख़िर शब में उम्मत की मग़फ़िरत होती है। अ़र्ज़ की गयी क्या वह शबे क़द्र है। फ़रमाया नहीं लेकिन काम करने वाले को उस वक़्त मज़दूरी पूरी दी जाती है जब वह काम पूरा कर ले।

हदीस न.6 :– बैहक़ी शोअ़बुल ईमान में सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कहते हैं रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने शाबान के आख़िर दिन में वअ़्ज़ फ़रमाया, फ़रमाया ऐ लोगो! तुम्हारे पास अ़ज़मत वाला, बरकत वाला, महीना आया वह महीना जिसमें एक रात हज़ार महीनों से बेहतर है उसके रोज़े अल्लाह तआ़ला ने फ़र्ज़ किये और उसकी रात में क़ियाम (नमाज़)व ततव्वोअ़् जो इसमें नेकी का कोई काम करे तो ऐसा है जैसे और किसी महीने में फ़र्ज़ अदा किया और इसमें जिसने फ़र्ज़ अदा किया तो ऐसा है जैसे और दिनों में सत्तर फ़र्ज़ अदा किए। यह महीना स़ब्र का है और स़ब्र का सवाब जन्नत है और यह महीना मुवासात(हमदर्दी)का है और इस महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ाया जाता है जो इसमें रोज़ादार को इफ़्तार कराये उसके गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है और उसकी गर्दन आग से आज़ाद कर दी जायेगी और इस इफ़्तार कराने वाले को वैसा ही स़वाब मिलेगा जैसा रोज़ा रखने वालों को मिलेगा बग़ैर इसके कि उसके अज्र में से कुछ कम हो । हमने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह ! हम में का हर शख़्स़ वह चीज़ नहीं पाता जिससे रोज़ा इफ़्तार कराये। हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह तआ़ला यह सवाब उस शख़्स़ को देगा जो एक घूँट दूध या एक खुरमा(छुआरा)या एक घूँट पानी से इफ़्तार कराये और जिसने रोज़ादार को भरपेट खाना खिलाया उसको अल्लाह तआ़ला मेरे हौज़ से पिलायेगा कि कभी प्यासा न होगा यहाँ तक कि जन्नत में दाख़िल हो जाये। यह वह महीना है कि

इसका अव्वल(शुरूअ् के दस दिन)रहमत है और इसका औसत(दरमियान के दस दिन)मग़फ़िरत है और इसका आख़िर जहन्नम से आज़ादी है। जो अपने ग़ुलाम पर इस महीने में तख़फ़ीफ़ करे यअ्नी काम में कमी करे अल्लाह तआला उसे बख़्श देगा और उसे जहन्नम से आज़ाद फ़रमायेगा।

हदीस न.7 :– सहीहैन व सुनने तिर्मिज़ी व नसई व सही इब्ने ख़ुज़ैमा में सहल इब्ने सअ्द रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जन्नत में आठ दरवाज़े हैं उनमें एक दरवाज़े का नाम रैहान है उस दरवाज़े से वही जायेंगे जो रोज़े रखते हैं।

हदीस न.8 :– बुख़ारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है जो ईमान की वजह से और सवाब के लिए रोज़ा रखेगा उसके अगले गुनाह बख़्श दिये जायेंगे और जो ईमान की वजह से और सवाब के लिए **शबे** क़द्र का क़ियाम करेगा उसके अगले गुनाह बख़्श दिये जायेंगे।

हदीस न.9 :– इमाम अहमद व हाकिम और तबरानी कबीर में और इब्ने अबिद्दुनिया और बैहक़ी शोअ्बुल ईमान में अ़ब्दुल्लाह इब्ने अम्र रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं रोज़ा व क़ुर्आन बन्दे के लिए शफ़ाअत करेंगे। रोज़ा कहेगा ऐ रब! मैंने खाने और ख़्वाहिशों से इसे दिन में रोक दिया मेरी शफ़ाअ़त इसके हक़ में क़बूल फ़रमा। क़ुर्आन कहेगा ऐ रब! मैंने इसे रात में सोने से बअ्ज़ रखा मेरी शफ़ाअ़त इसके बारे में क़बूल कर। दोनों की शफ़ाअ़तें क़बूल होंगी।

हदीस न.10 :– सहीहैन में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं आदमी के हर नेक काम का बदला दस से सात सौ तक दिया जाता है, अल्लाह तआला ने फ़रमाया मगर रोज़ा कि वह मेरे लिए है और उसकी जज़ा मैं दूँगा बन्दा अपनी ख़्वाहिश और खाने को मेरी वजह से तर्क करता है रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं एक इफ़्तार के वक़्त और अपने रब से मिलने के वक़्त और रोज़ादार के मुँह की बू अल्लाह तआला के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पाकीज़ा है और रोज़ा सिपर (ढाल)है और जब किसी के रोज़े का दिन हो तो न बेहूदा बके और न चीख़े फिर अगर उससे कोई गाली–गलौच करे या लड़ने पर अमादा हो तो कह दे मैं रोज़ादार हूँ,इसी के मिस्ल इमाम मालिक व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने ख़ुज़ैमा ने रिवायत की।

हदीस न.11 :– तबरानी औसत में और बैहक़ी इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह तआला के नज़दीक अअ्माल सात क़िस्म के हैं दो अ़मल वाजिब करने वाले और दो का बदला उनके बराबर है और एक अ़मल का बदला दस गुना और एक अ़मल का मुआवज़ा सात सौ है एक वह अ़मल है जिसका सवाब अल्लाह ही जाने। वह दो जो वाजिब करने वाले हैं उनमें एक यह कि जो ख़ुदा से इस हाल में मिले कि ख़ालिस उसी की इबादत करता था किसी को उसके साथ शरीक न करता था उसके लिए जन्नत वाजिब। दूसरा यह कि जो ख़ुदा से मिला इस हाल में कि उसने शरीक किया है तो उसके लिये जहन्नम वाजिब और तीसरा यह कि जिसने बुराई की उसको उसी क़द्र सज़ा दी जायेगी और चौथा यह कि जिस ने नेकी का इरादा किया मगर अ़मल न किया तो उस को एक नेकी का बदला दिया जायेगा और पाँचवाँ यह कि जिसने नेकी की उसे दस गुना सवाब मिलेगा और छटा यह कि जिसने अल्लाह की राह में ख़र्च किया उसको सात सौ का सवाब मिलेगा एक

दिरहम का सात सौ दिरहम एक दीनार का सवाब सात सौ दीनार और सातवाँ रोज़ा अल्लाह तआला के लिए है उसका सवाब अल्लाह तआला के सिवा कोई नहीं जानता।

हदीस न.12 से 15 :– इमाम अहमद और बैहक़ी रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया रोज़ा सिपर (ढाल) है और दोज़ख़ से हिफ़ाज़त का मज़बूत क़िला ,इसी के क़रीब–क़रीब जाबिर व उस्मान इब्ने अबिलआस व मआज़ इब्ने जबल रदियल्लाहु तआला अन्हुम से मरवी।

हदीस न.16 से 17 :– अबू यअ्ला व बैहक़ी सलमा इब्ने कैस और अहमद बज़्ज़ार अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसने अल्लाह तआला की रज़ा के लिए एक दिन का रोज़ा रखा अल्लाह तआला उसको जहन्नम से इतना दूर कर देगा जैसे कि कौआ कि जब बच्चा था उस वक़्त से उड़ता रहा यहाँ तक कि बूढ़ा होकर मरा।

हदीस न.18 :– अबू यअ्ला व तबरानी अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अगर किसी ने एक दिन नफ़्ल रोज़ा रखा और ज़मीन भर उसे सोना दिया जाये जब भी उसका सवाब पूरा न होगा उसका तो सवाब क़ियामत के दिन मिलेगा।

हदीस न.19 :–इब्ने माजा अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमााया हर शय के लिये ज़कात है और बदन की ज़कात रोज़ा है और रोज़ा निस्फ़ (आधा)सब्र है ।

हदीस न.20 :– नसई व इब्ने खुज़ैमा व हाकिम अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी अर्ज़ की ,या रसूलल्लाह!, मुझे किसी अमल का हुक्म फ़रमायें। इरशाद फ़रमाया रोज़े को लाज़िम कर लो कि इसके बराबर कोई अमल नहीं। उन्होंने फिर वही अर्ज़ की ,वही जवाब इरशाद हुआ।

हदीस न. **21से 26** :–बूख़ारी व मुस्लिम व तिर्मिज़ी व नसई अबू सईद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बन्दा अल्लाह की राह में एक रोज़ा रखे अल्लाह तआला उसके मुँह को दोज़ख़ से सत्तर बरस की राह दूर फ़रमा देगा और इसी के मिस्ल नसई,तिर्मिज़ी व इब्ने माजा अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी और तबरानी अबू दरदा और तिर्मिज़ी अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं फ़रमाया कि उसके और जहन्नम के दरमियान अल्लाह तआला इतनी बड़ी ख़न्दक़ कर देगा जितना आसमान व ज़मीन के दरमियान फ़ासिला है और तबरानी की रिवायत अम्र इब्ने अब्सा रदियल्लाहु तआला अन्हु से है कि दोज़ख़ उससे सौ बरस की राह दूर होगी और अबू यअ्ला की रिवायत मआज़ इब्ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से है कि रमज़ान के दिनों के अलावा अल्लाह तआला की राह में रोज़ा रखा तो तेज़ घोड़े की रफ़्तार से सौ बरस की मसाफ़त (दूरी) पर जहन्नम से दूर होगा।

हदीस न.27 :– बैहक़ी अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं रोज़ादार की दुआ इफ़्तार के वक़्त रद नहीं की जाती।

हदीस न.28 :– इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हब्बान अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम

फ़रमाते हैं तीन शख़्स की दुआ रद नहीं की जाती रोज़ादार जिस वक़्त इफ़्तार करता है और बादशाहे आदिल और मज़लूम की दुआ इसको अल्लाह तआला अब्र से ऊपर बलन्द करता है और इसके लिए आसमान के दरवाज़े खोले जाते हैं और रब तआला फ़रमाता है अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम ज़रूर तेरी मदद करूँगा अगर्चे थोड़े ज़माने बअ़द।

हदीस न.29 :– इब्ने हब्बान व बैहक़ी अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा और उसकी हदों को पहचाना और जिस चीज़ से बचना चाहिए उससे बचा तो जो पहले कर चुका है उसका कफ़्फ़ारा हो गया।

हदीस न.30 :– इब्ने माजा अब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रावी कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जिसने मक्के में माहे रमज़ान पाया और रोज़ा रखा और रात में जितना मयस्सर आया क़ियाम किया तो अल्लाह तआ़ला उसके लिए और जगह के एक लाख रमज़ान का सवाब लिखेगा और दिन एक गर्दन आज़ाद करने का सवाब और हर रोज़ जिहाद में घोड़े पर सवार कर देने का सवाब और हर दिन में हसना (नेकी)और हर रात में हसना लिखेगा।

हदीस न.31 :– बैहक़ी जाबिर इब्ने अ़ब्दुल्ला रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं मेरी उम्मत को माहे रमज़ान में पाँच बातें दी गईं कि मुझसे पहले किसी नबी को न मिली अव्वल यह कि जब रमज़ान की पहली रात होती है अल्लाह तआ़ला उनकी तरफ़ नज़रे रहमत फ़रमाता है और जिसकी तरफ़ नज़रे रहमत फ़रमायेगा उसे कभी अज़ाब न करेगा । दूसरी यह कि शाम के वक़्त उनके मुँह की बू अल्लाह तआ़ला के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा अच्छी है। तीसरी यह कि हर दिन और रात में फ़रिश्ते उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। चौथी यह कि अल्लाह तआ़ला जन्नत को हुक्म फ़रमाता है कहता है तैयार हो जा और मेरे बन्दों के लिए मुज़य्यन हो जा (सज जा) क़रीब है कि दुनिया की सख़्ती से यहाँ आकर आराम करें। पाँचवीं यह कि जब आख़िर रात होती है तो उन सब की मग़फ़िरत फ़रमा देता है। किसी ने अर्ज़ की क्या वह शबे क़द्र है। फ़रमाया नहीं क्या तू नहीं देखता कि काम करने वाले काम करते हैं जब काम से फ़ारिग़ होते हैं उस वक़्त मज़दूरी पाते हैं।

हदीस न.32,34 :– हाकिम ने कअ़ब इब्ने अजरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया सब लोग मिम्बर के पास हाज़िर हों। हम हाज़िर हुए जब हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मिम्बर के पहले दर्जे पर चढ़े कहा आमीन,दूसरे पर चढ़े कहा आमीन तीसरे पर चढ़े कहा आमीन। जब मिम्बर से तशरीफ़ लाये हमने अर्ज़ की आज हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से ऐसी बात सुनी कि कभी न सुनते थे। फ़रमाया जिब्रील ने आकर अर्ज़ की वह शख़्स दूर हो जिसने रमज़ान पाया और अपनी मग़फ़िरत न कराई। मैंने कहा आमीन। जब मैं दूसरे दर्जे पर चढ़ा तो कहा वह शख़्स दूर हो जिसके पास मेरा ज़िक्र हो और मुझ पर दुरूद न भेजे। मैंने कहा आमीन। जब मैं तीसरे दर्जे पर चढ़ा कहा वह शख़्स दूर हो जिसके माँ–बाप दोनों या एक को बुढ़ापा आये और उनकी ख़िदमत करके जन्नत में न जाये मैंने कहा आमीन। इसी के मिस्ल अबू हुरैरा व हसन इब्ने मालिक इब्ने हुवैरस रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुम से इब्ने हब्बान ने रिवायत की।

हदीस न.35 :– अस्बहानी ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब रमज़ान की पहली रात होती है अल्लाह तआला अपनी मख़लूक़ की तरफ़ नज़रे रहमत फ़रमाता है और जब अल्लाह किसी बन्दे की तरफ़ नज़रे रहमत फ़रमाये तो उसे कभी अज़ाब न देगा और हर रोज़ दस लाख को जहन्नम से आज़ाद फ़रमाता है और जब उन्तीसवीं रात होती है तो महीने भर जितने आज़ाद किये उनके मजमुए के बराबर उस एक रात में आज़ाद करता है। फिर जब ईदुल फ़ित्र की रात आती है मलाइका (फ़रिश्ते)ख़ुशी करते हैं और अल्लाह तआला अपने नूर की ख़ास तजल्ली फ़रमाता है फ़रिश्तों से फ़रमाता है ऐ गिरोहे मलाइका उस मज़दूर का क्या बदला है जिसने काम पूरा कर लिया। फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं उसको पूरा अज्र दिया जाये। अल्लाह तआला फ़रमाता है तुम्हें गवाह करता हूँ कि मैंने उन सब को बख़्श दिया।

हदीस न.36 :– इब्ने ख़ुज़ैमा ने अबू मसऊद गफ़्फ़ारी रदियल्लाहु तआला अन्हु से एक तवील हदीस रिवायत की उसमें यह भीं है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अगर बन्दों को मालूम होता कि रमज़ान क्या चीजे है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि पूरा साल रमज़ान ही हो।

हदीस न.37 :– बज़्ज़ार व इब्ने ख़ुज़ैमा व इब्ने हब्बान अम्र इब्ने मुर्रा जोहनी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि एक शख़्स ने अर्ज़ की,या रसूलल्लाह! फ़रमाईये तो अगर मैं इसकी गवाही दूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मअ्बूद नहीं और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और पाँचों नमाज़ें पढ़ूँ और ज़कात अदा करूँ और रमज़ान के रोज़े रखूँ और उसकी रातों का कियाम करूँ तो मैं किन लोगों में से होऊँगा। फ़रमाया सिद्दीक़ीन और शोहदा में से।

मसाइले फ़िक़्हिया

मसअला :– रोज़ा शरीअत की बोलचाल में मुसलमान का इबादत की नियत से सुबहे सादिक़ से गुरूब आफ़ताब तक अपने को क़स्दन (जानबूझ कर)खाने पीने जिमा (हमबिस्तरी)से बाज़ रखना। औरत का हैज़ व निफ़ास से ख़ाली होना शर्त है। (आम्मए कुतुब)

मसअला :– रोज़े के तीन दर्जे हैं एक आम लोगों का रोज़ा कि यही पेट और शर्मगाह को खाने पीने, जिमा हमबिस्तरी से रोकना,दूसरा ख़वास का रोज़ा कि उनके अलावा कान,आँख ज़बान हाथ, पाँव और तमाम आज़ा को गुनाह से बाज़ रखना, तीसरा ख़ासुलख़ास का रोज़ा कि अल्लाह तआला के अलावा तमाम चीज़ों से अपने को पूरी तरह जुदा करके सिर्फ़ उसी की तरफ़ मुतवज्जेह रहना। (जौहरा नय्यिरा)

मसअला :– रोज़ की पाँच किस्में हैं 1.फ़र्ज़ 2. वाजिब 3.नफ़्ल,4,मकरूहे तनज़ीही 5. मकरूहे तहरीमी **फ़र्ज़ व वाजिब** की दो किस्में हैं मुअय्यन व ग़ैरे मुअय्यन। फ़र्ज़े मुअय्यन जैसे क़ज़ाए रमज़ान यअ्नी रमज़ान का रोज़ा जो छूट गया और रोज़ए कफ़्फ़ारा जो कफ़्फ़ारा लाज़िम होने पर रखा जाये वाजिबे मुअय्यन जैसे नज़रे मुअय्यन वाजिबे गैरे मुअय्यन जैसे नज़रे मुतलक़ **नफ़्ल** दो हैं नफ़्ले मसनून नफ़्ले मुसतहब **नफ़्ले मसनून** जैसे आशूरा यअ्नी दसवीं मुहर्रम का रोज़ा और उसके साथ नवीं का भी और **नफ़्ले मुस्तहब** हर महीने में तेरहवीं, चौदहवीं पन्द्रहवीं और अरफ़े का रोज़ा पीर

और जुमेरात का रोज़ा। शश ईद के रोज़े यअ्नी ईद के छह रोज़े ,दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े यअ्नी एक दिन रोज़ा एक दिन इफ़्तार **मकरूहे तनज़ीही** जैसे सिर्फ़ हफ़्ते के दिन रोज़ा रखना,नैरोज़ मेहरगान के दिन का रोज़ा सौमे दहर यअ्नी हमेशा रोज़ा रखना सौमे सुकूत यअ्नी जिसमें कुछ बात न करे, सौमे विसाल कि रोज़ा रखकर इफ़्तार न करे और दूसरे दिन फिर रोज़ा रखे यह सब मकरूहे तनज़ीही हैं। मकरूहे तहरीमी जैसे ईद और अय्यामे तशरीक़ (बक़रीद और उसके बअ्द के तीन दिन)के रोज़े। (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– रोज़े के मुख़्तलिफ़ असबाब (वजहें)हैं रोज़ए रमज़ान का सबब माहे रमज़ान का आना। रोज़ए नज़र का सबब मन्नत मानना। रोज़ए कफ़्फ़ारा का सबब क़सम तोड़ना या क़त्ल या ज़िहार वग़ैरा। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– माहे रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ जब होगा कि वह वक़्त जिसमें रोज़े की इब्तिदा (शुरूआत) कर सके यअ्नी सुबहे सादिक़ से ज़हवए कुबरा तक कि इसके बाद रोज़े की नियत नहीं हो सकती लिहाज़ा रोज़ा नहीं हो सकता और रात में नियत हो सकती है मगर रोज़े की महल नहीं। (यअ्नी रात रोज़े का वक़्त नहीं मगर नियत हो जायेगी)लिहाज़ा अगर मजनून को रमज़ान की किसी रात में होश आया और सुबह जुनून की हालत में हुई या ज़हवए कुबरा के बाद किसी दिन होश आया तो उस पर रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा नहीं जबकि पूरा रमज़ान इसी जुनून में गुज़र जाये और एक दिन भी ऐसा वक़्त मिल गया जिसमें नियत कर सकता है तो सारे रमज़ान की क़ज़ा लाज़िम है। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– रात में रोज़े की नियत की और सुबह ग़शी की हालत में हुई और यह ग़शी कई दिन तक रही तो सिर्फ़ पहले दिन का रोज़ा हुआ बाक़ी दिनों का क़ज़ा रखे अगर्चे पूरे रमज़ान भर ग़शी रही अगर्चे नियत का वक़्त न मिला। (जौहरा,दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– रमज़ान के रोज़े की अदा और नज़रे मुअय्यन और नफ़्ल के रोज़ों की नियत का वक़्त गुरूबे आफ़ताब से ज़हवए कुबरा तक है इस वक़्त में जब नियत कर ले यह रोज़े हो जायेंगे। लिहाज़ा आफ़ताब डूबने से पहले नियत की कल रोज़ा रखूँगा फिर बेहोश हो गया और ज़हवए कुबरा के बाद होश आया तो यह रोज़ा न हुआ और आफ़ताब डूबने के बअ्द नियत की थी तो हो गया। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ज़हवए कुबरा नियते वक़्त नहीं बल्कि इससे पेश्तर (पहले)नियत हो जाना ज़रूरी है और अगर ख़ास वक़्त यअ्नी जिस वक़्त आफ़ताब ख़त्ते निस्फ़ुन्नहारे शरई पर पहुँच गया नियत की तो रोज़ा न हुआ। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– नियत के बारे में नफ़्ल आम है सुन्नत व मुसतहब व मकरूह सब को शामिल है कि इन सब के लिए नियत का वही वक़्त है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जिस तरह और जगह बताया गया कि नियत दिल के इरादे का नाम है ज़बान से कहना शर्त नहीं यहाँ भी वही मुराद है मगर ज़बान से कह लेना मुस्तहब है अगर रात में नियत करे तो यूँ कहे :–

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ غَدًا لِلّٰهِ تَعَالٰى مِنْ فَرْضِ رَمَضَانَ هٰذَا

तर्जमा :– "मैंने नियत की कि अल्लाह तआ़ला के लिए इस रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा कल रखूँगा"। और दिन में नियत करे तो यह कहे :–

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ هٰذَا الْيَوْمَ لِلّٰهِ تَعَالٰى مِنْ فَرْضِ رَمَضَانَ

तर्जमा :– "मैंने नियत की कि अल्लाह तआला के लिए आज रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा रखूँगा"। और अगर तबर्रुक व तलबे तौफ़ीक़ के लिए नियत के अल्फ़ाज़ में इन्शाअल्लाह तआला भी मिला लिया तो हरज नहीं और अगर पक्का इरादा न हो मुज़बज़ब हो यअ्नी कभी हाँ कभी न हो तो नियत ही कहाँ हुई। (जौहरा)

मसअ्ला :– दिन में नियत करे तो यह ज़रूर है क यह नियत करे कि मैं सुबहे सादिक़ से रोज़ादार हूँ और अगर यह नियत है कि अब से रोज़ादार हूँ सुबह से नहीं तो रोज़ा न हुआ। (जौहरा,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर्चे उन तीन क़िस्म के रोज़े की नियत दिन में भी हो सकती है मगर रात में नियत कर लेना मुसतहब है। (जौहरा) यूँ नियत की कि कल कहीं दअ्वत हुई तो रोज़ा नहीं और न हुई तो रोज़ा है यह नियत सही नहीं बहरहाल वह रोज़ादार नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– रमज़ान के दिन में न रोज़े की नियत है न यह कि रोज़ा नहीं अगर्चे मालूम है कि यह महीना रमज़ान का है तो रोज़ा न हुआ। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– रात में नियत की और फिर उसके बअ्द रात ही में खाया पिया तो नियत जाती न रही वही पहली काफ़ी है फिर से नियत करना ज़रूरी नहीं। (जौहरा)

मसअ्ला :– हैज व निफ़ास वाली थी उसने रात में कल रोज़ा रखने की नियत की और सुबहे सादिक़ से पहले हैज़ व निफ़ास से पाक हो गई तो रोज़ा सही हो गया। (जौहरा)

मसअ्ला :– दिन में वह नियत काम की है कि सुबहे सादिक़ से नियत करते वक़्त तक रोज़े के ख़िलाफ़ कोई अम्र (काम) न पाया गया हो। लिहाज़ा अगर सुबहे सादिक़ के बअ्द भूलकर भी खा पी लिया हो या जिमा (हमबिस्तरी) कर लिया तो अब नियत नहीं हो सकती। (जौहरा) मगर मोअ्तमद यह है कि भूलने की हालत में अब भी नीयत सही है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जिस तरह नमाज़ में कलाम की नियत की मगर बात न की तो नमाज़ फ़ासिद न होगी यूँही रोज़ा में तोड़ने की नियत से रोज़ा नहीं टूटेगा जब तक तोड़ने वाली चीज़ न करे। (जौहरा)

मसअ्ला :– अगर रात में रोज़े की नियत की फिर पक्का इरादा कर लिया कि नहीं रखेगा तो वह नियत जाती रही अगर नई नियत न की और दिन भर भूका प्यासा रहा और जिमा (हमबिस्तरी) से बचा तो रोज़ा न हुआ। (दुर्रे मुख़्तार ,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– सहरी खाना भी नियत है ख़्वाह रमज़ान के रोज़े के लिए हो या किसी और रोज़े के लिए मगर जब सहरी खाते वक़्त यह इरादा है कि सुबह को रोज़ा न होगा तो सहरी खाना नियत नहीं। (जौहरा,रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– रमज़ान के हर रोज़े के लिए नई नियत की ज़रूरत है पहली या किसी तारीख़ में पूरे रमज़ान के रोज़े की नियत कर ली तो यह नियत सिर्फ़ उसी एक दिन के हक़ में है बाक़ी दिनों के लिए नहीं। (जौहरा)

मसअ्ला :– यह तीनों यअ्नी रमज़ान के अदा और नफ़्ल व नज़रे मुअय्यन मुतलक़न रोज़े की नियत से हो जाते हैं ख़ास इन्हीं की नियत ज़रूरी नहीं। यूँही नफ़्ल की नियत से भी अदा हो जाते हैं बल्कि ग़ैरे मरीज़ व ग़ैरे मुसाफ़िर ने रमज़ान में किसी और वाजिब की नियत की जब भी उसी रमज़ान का होगा। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– मुसाफ़िर और मरीज़ अगर रमज़ान शरीफ़ में नफ़्ल या किसी दूसरे वाजिब की नियत करें तो जिसकी नियत करेंगे वह होगा रमज़ान का नहीं (तनवीरूल अबसार)और मुतलक़ रोज़े की नियत करे तो रमज़ान का होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– नज़रे मुअय्यन यअ्नी फ़लाँ दिन रोज़ा रखूँगा इसमें अगर उस दिन किसी और वाजिब की नियत से रोज़ा रखा तो जिस की नियत से रोज़ा रखा यह हुआ,मन्नत की क़ज़ा दे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– रमज़ान के महीने में कोई रोज़ा रखा और उसे यह मअ्लूम न था कि यह माहे रमज़ान है जब भी रमज़ान ही का रोज़ा हुआ। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– कोई मुसलमान दारुलहरब में कैद था और हर साल यह सोचकर कि रमज़ान का महीना आ गया रमज़ान के रोज़े रखे बअ्द को मअ्लूम हुआ कि किसी साल भी रमज़ान में न हुए बल्कि हर साल रमज़ान से पेशतर (पहले) हुए तो पहले साल का तो हुआ ही नहीं कि रमज़ान से पेशतर रमज़ान का रोज़ा हो नहीं सकता और दूसरे तीसरे साल की निस्बत यह है कि अगर मुतलक़ रमज़ान की नियत की थी तो हर साल के रोज़े गुज़रे हुए साल के रोज़े की क़ज़ा हैं और अगर हर साल के रमज़ान की नियत से रखे तो किसी साल के न हुए। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर सूरते मज़कूरा में (यअ्नी ऊपर जो सूरत ज़िक्र हुई उसमें)तहर्री की यअ्नी सोचा और दिल में यह बात जमी कि यह रमज़ान का महीना है और रोज़ा रखा मगर हक़ीक़त में रोज़े शव्वाल के महीने में हुए तो अगर रात से नियत की तो हो गये क्यूँकि क़ज़ा में क़ज़ा की नियत शर्त नहीं बल्कि अदा की नियत से भी क़ज़ा हो जाती है फिर अगर रमज़ान व शव्वाल दोनों तीस–तीस दिन या उन्तीस–उन्तीस दिन के हैं तो एक रोज़ा और रखे कि ईद का रोज़ा मना है और अगर रमज़ान तीस का था और शव्वाल उन्तीस का तो दो और रखे और रमज़ान उन्तीस का था और यह तीस का तो हो गये और अगर वह महीना ज़िलहिज्जा का था तो अगर दोनों तीस तीस या उन्तीस के हैं तो चार रोज़े और रखे और रमज़ान तीस का था यह उन्तीस का तो पाँच और बिलअ्क्स यअ्नी इसका उल्टा हुआ तो तीन रखे ग़रज़ मना किये हुए रोज़े निकालकर तअ्दाद पूरी करनी होगी जितने रमज़ान के दिन थे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अदाए रमज़ान और नज़रे मुअय्यन और नफ़्ल के अलावा बाक़ी रोज़े मसलन क़ज़ाए रमज़ान नज़रे ग़ैरे मुअय्यन और नफ़्ल की क़ज़ा(यअ्नी नफ़्ली रोज़ा रखकर तोड़ दिया था उसकी क़ज़ा) नज़रे मुअय्यन की क़ज़ा और कफ़्फ़ारे का रोज़ा और हरम में शिकार करने की वजह से जो रोज़ा वाजिब हुआ वह और हज में वक़्त से पहले सर मुन्डाने का रोज़ा और तमत्तोअ् का रोज़ा इन सब में बिल्कुल सुबहे सादिक़ चमकते वक़्त या रात में नियत करना ज़रूरी है और यह भी ज़रूरी है कि जो रोज़ा रखना है ख़ास उस मुअय्यन की नियत करे और इस रोज़ों की नियत अगर दिन में की तो नफ़्ल हुए फिर भी उनका पूरा करना ज़रूरी है तोड़ेगा तो क़ज़ा वाजिब होगी अगर्चे यह उसके इल्म में हो कि जो रोज़ा रखना चाहता है वह नहीं होगा बल्कि नफ़्ल होगा।

मसअ्ला :– यह गुमान करके कि उसके ज़िम्मे रोज़े की क़ज़ा है रोज़ा रखा अब मअ्लूम हुआ कि गुमान ग़लत था तो अगर फ़ौरन तोड़ दे तो तोड़ सकता है अगर्चे बेहतर यह है कि पूरा कर ले और अगर फ़ौरन न तोड़ा तो अब नहीं तोड़ सकता, तोड़ेगा तो क़ज़ा वाजिब है।(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– रात में क़ज़ा रोज़े की नियत की सुबह को उसे नफ़्ल करना चाहता है तो नहीं कर सकता। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– नमाज़ पढ़ते में रोज़े की नियत की तो यह नियत सही है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– कई रोज़े कज़ा हो गये तो नियत में यह होना चाहिए कि इस रमज़ान के पहले रोज़े की कज़ा दूसरे की कज़ा और अगर कुछ इस साल के कज़ा हो गये कुछ पिछले साल के बाक़ी हैं तो यह नियत होनी चाहिए कि इस रमज़ान की और उस रमज़ान की कज़ा और अगर दिन और साल को मुअ़य्यन न किया जब भी हो जायेंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :- रमज़ान का रोज़ा जानबूझ कर तोड़ा था तो उस पर उस रोज़े की कज़ा है और साठ रोज़े कफ़्फ़ारे के अब उसने इक्सठ रोज़े रख लिए कज़ा का दिन मुअ़य्यन न किया तो हो गया। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– यौमे शक (शक के दिन)यअ्नी शअ्बान की तीसवीं तारीख़ को नफ़्ले ख़ालिस की नियत से रोज़ा रख सकते हैं और नफ़्ल के सिवा कोई और रोज़ा रखा तो मकरूह है ख़्वाह नियत मुअ़य्यन की हो या तरद्दुद(यानी शक वाली हालत)के साथ यह सब सूरतें मकरूह हैं फिर अगर रमज़ान की नियत है तो मकरूहे तहरीमी है वरना मुक़ीम के लिये तन्ज़ीही और मुसाफ़िर ने अगर किसी वाजिब की नियत की तो कराहत नहीं फिर अगर उस दिन का रमज़ान होना साबित हो जाये तो मुक़ीम के लिए बहरहाल रमज़ान का रोज़ा है और यह ज़ाहिर हुआ कि वह शाबान का दिन था और नियत किसी वाजिब की थी तो जिस वाजिब की नियत थी वह हुआ और अगर कुछ हाल न खुला तो वाजिब की नियत बेकार गई और मुसाफ़िर ने जिसकी नियत की बहरहाल वही हुआ। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर तीसवीं तारीख़ ऐसे दिन हुई कि उस दिन रोज़ा रखने को आदी था तो उसे रोज़ा रखना अफ़ज़ल है मसलन कोई शख़्स पीर या जुमेरात का रोज़ा रखा करता है और तीसवीं उसी दिन पड़ी तो रखना अफ़ज़ल है। यूँही अगर चन्द रोज़ पहले से रख रहा था तो अब शक वाले दिन में कराहत नहीं,कराहत उसी सूरत में है कि रमज़ान से एक या दो दिन पहले रोज़ा रखा जाये यअ्नी सिर्फ़ तीस शअ्बान को या उन्तीस और तीस को। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर न तो उस दिन रोज़ा रखने का आदी था न कई रोज़ पहले से रोज़े रखे तो अब ख़ास लोग रोज़ा रखें और अवाम न रखें बल्कि अवाम के लिए यह हुक्म है कि ज़हवए कुबरा तक रोज़े की तरह रहें अगर उस वक़्त तक चाँद का सुबूत हो जाये तो रमज़ान के रोज़े की नियत कर लें वरना खा पी लें। ख़वास से मुराद यहाँ उलमा ही नहीं बल्कि जो शख़्स यह जानता हो कि शक वाले दिन में इस तरह रोज़ा रखा जाता है वह ख़वास में है वरना अवाम में। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– शक वाले दिन के रोज़े में यह पक्का इरादा कर ले कि यह रोज़ा नफ़्ल है तरद्दुद (यअ्नी शक वाली हालत)न रहे,यूँ न हो कि अगर रमज़ान है तो यह रोज़ा रमज़ान का वरना नफ़्ल का या यूँ कि अगर आज रमज़ान का दिन है तो यह रोज़ा रमज़ान का है वरना किसी और वाजिब का कि यह दोनों सूरतें मकरूह हैं फिर अगर उस दिन का रमज़ान होना साबित हो जाये तो फ़र्ज़े रमज़ान अदा होगा वरना दोनों सूरतों में नफ़्ल है और गुनाहगार बहरहाल हुआ और यूँ भी नियत न करे कि यह दिन रमज़ान का है तो रोज़ा हुआ और अगर नफ़्ल का पूरा इरादा है मगर कभी दिल में यह ख़्याल गुज़र जाता है कि शायद आज रमज़ान का दिन हो तो इसमें हरज नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– अवाम को जो यह हुक्म दिया गया कि ज़हवए कुबरा तक इन्तिज़ार करें जिसने इस पर अमल किया मगर भूल कर खा लिया फिर उस दिन का रमज़ान होना ज़ाहिर हुआ तो रोज़े की नियत कर लें हो जायेगा कि इन्तिज़ार करने वाला रोज़ादार के हुक्म में है और भूल कर खाने से रोज़ा नहीं टुटता। (दुर्रे मुख़्तार)

चाँद देखने का बयान

अल्लाह ताआ़ल फ़रमाता है :–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ؕ قُلْ هِیَ مَوَاقِیْتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ ؕ

तर्जमा :– " ऐ महबूब! तुमसे हिलाल के बारे में लोग सवाल करते हैं तुम फ़रमा दो वह लोगों के कामों और हज के लिए औक़ात हैं।

हदीस न.1:– सही बुख़ारी व सही मुस्लिम में इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं रोज़ा न रखो जब तक चाँद न देख लो और इफ़्तार न करो जब तक चाँद न देख लो और अगर अब्र हो तो(तीस की)मिक़दार पूरी कर लो।

हदीस न.2 :– नीज़ सहीहैन में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं चाँद देखकर रोज़ा रखना शुरूअ़ करो और चाँद देखकर इफ़्तार करो और अगर अब्र हो तो शअ़बान की गिनती तीस पूरी कर लो।

हदीस न.3 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा व दारमी इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से एक अअ़्राबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अ़र्ज़ की मैंने रमज़ान का चाँद देखा है। फ़रमाया कि तू गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई मअ़्बूद नहीं। अ़र्ज़ की हाँ। फ़रमाया कि तू गवाही देता है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसने कहा हाँ। इरशाद फ़रमाया,ऐ बिलाल ! लोगों में एलान कर दो कि कल रोज़ा रखें।

हदीस न.4 :– अबू दाऊद, व दारमी इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि लोगों ने बाहम (मिलकर)चाँद देखना शुरूअ़ किया,मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को ख़बर दी कि मैंने चाँद देखा है हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने भी रोज़ा रखा और लोगों को रोज़ा रखने का हुक्म फ़रमाया।

हदीस न.5 :– अबू दाऊद उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम शाबान का इस क़द्र तहफ़्फ़ुज़ (हिफ़ाज़त) करते यअ़्नी रोज़ा वग़ैरा इबादत में भी लगे रहते और दिन–तारीख़ भी याद रखते और सहाबए किराम को भी याद दिलाते रहते थे कि उतना और किसी का न करते फिर रमज़ान का चाँद देखकर रोज़ा रखते और अब्र होता तो तीस दिन पूरे करके रोज़ा रखते।

हदीस न.6 :– मुस्लिम में अबिल बख़्तरी से मरवी कहते हैं कि हम उ़मरा के लिए गये जब बत़्ने नख़्ला में पहुँचे तो चाँद देख कर किसी ने कहा तीन रात का है,किसी ने कहा दो रात का है। इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से हम मिले और उनसे वाक़िआ बयान किया। फ़रमाया तुमने देखा किस रात में। हम ने कहा फ़ुलाँ रात में,फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने उसकी मुद्दत देखने से मुक़र्रर फ़रमाई, लिहाज़ा उस रात का क़रार दिया जायेगा जिस रात को तुमने देखा।

मसअ्ला :– पाँच महीनों का चाँद देखना वाजिबे किफ़ाया है:– शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ीक़ादा, ज़िलहिज्जा। शाबान का इसलिए कि अगर रमज़ान का चाँद देखते वक़्त अब्र या गुबार हो तो तीस

पूरे कर के रमज़ान शुरू करें और रमज़ान का रोज़ा रखने के लिए और शव्वाल का रोज़ा ख़त्म करने के लिए और ज़ीक़ादा का ज़िलहिज्जा के लिए और ज़िलहिज्जा का बक़रईद के लिये। (फ़तावा रज़विया)

मसअ्ला :– शअ्बान की उन्तीस को शाम के वक़्त चाँद देखें दिखाई दे तो कल रोज़ा रखें वरना शअ्बान के तीस दिन पूरे करके रमज़ान का महीना शुरूअ् करें (आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी ने रमज़ान या ईद का चाँद देखा मगर उसकी गवाही किसी वजहे शरई से रद कर दी गयी मसलन फ़ासिक़ है या ईद का चाँद उसने तन्हा देखा तो उसे हुक्म है रोज़ा रखे अगर्चे अपने आप ईद का चाँद देख लिया है और इस रोज़े को तोड़ना जाइज़ नहीं मगर तोड़ेगा तो कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं और इस सूरत में अगर रमज़ान का चाँद था और उसने अपने हिसाब की वजह से तीस रोज़े पूरे किये मगर ईद के चाँद के वक़्त फिर अब्र या गुबार है तो उसे भी एक दिन और रखने का हुक्म है। (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– तन्हा उसने चाँद देखकर रोज़ा रखा फिर रोज़ा तोड़ दिया या क़ाज़ी के यहाँ गवाही भी दी थी और अभी उसने उसकी गवाही पर हुक्म नहीं दिया था कि उसने रोज़ा तोड़ दिया तो भी कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं सिर्फ़ उस रोज़े की क़ज़ा दे और अगर क़ाज़ी ने उसकी गवाही क़बूल कर ली उसके बाद उसने रोज़ा तोड़ दिया तो कफ़्फ़ारा लाज़िम है अगर्चे यह फ़ासिक़ हो। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जो शख़्स इल्मे हैअ्त जानता है उसका अपने इल्मे हैयत के ज़रिए से कह देना कि आज चाँद हुआ या नहीं हुआ कोई चीज़ नहीं अगर्चे वह आदिल हो अगर्चे कई शख़्स ऐसा कहते हों कि शरीअ्त में चाँद देखना या गवाही से सुबूत का एअ्तिबार है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– हर गवाही में यह कहना ज़रूरी है कि "मैं गवाही देता हूँ" कि बग़ैर इसके शहादत नहीं मगर अब्र में रमज़ान के चाँदे की गवाही में इसे कहने की ज़रूरत नहीं इतना कह देना काफ़ी है कि मैंने अपनी आँख से इस रमज़ान का चाँद आज या कल या फ़लाँ दिन देखा है। यूँही उसकी गवाही में दावा और मजलिसे क़ज़ा (फ़ैसले की या हुक्म सुनाने की मजलिस)और हाकिम का हुक्म भी शर्त नहीं यहाँ तक कि अगर किसी ने हाकिम के यहाँ गवाही दी तो जिसने उसकी गवाही सुनी और उसको ब–ज़ाहिर मअ्लूम हुआ कि यह आदिल है उस पर रोज़ा रखना ज़रूरी है अगर्चे हाकिम का हुक्म उसने न सुना हो मसलन हुक्म देने से पहले ही चला गया हो। (दुर्रे मुख़्तार,आलमगीरी)

मसअ्ला :– अब्र और गुबार में रमज़ान का सुबुत एक मुसलमान आक़िल ,बालिग़ मस्तूर जो ज़ाहिर में शरीअ्त के मुताबिक़ हो या आदिल शख़्स से हो जाता है वह मर्द हो ख़्वाह औरत आज़ाद हो या बांदी,ग़ुलाम या उस पर तोहमते ज़िना की हद मारी गई हो जबकि तौबा कर चुका है। आदिल होने के मअ्ना यह हैं कि कम से कम मुत्तक़ी हो यअ्नी कबाइर गुनाह(बड़े–बड़े गुनाह)से बचता हो और सग़ीरा(यअ्नी छोटे गुनाह)पर इसरार न करता हो और ऐसा काम न करता हो जो मुरव्वत के ख़िलाफ़ हो मसलन बाज़ार में खाना। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– फ़ासिक़ अगर्चे रमज़ान के चाँद की शहादत दे उसकी गवाही क़ाबिले क़बूल नहीं रहा यह कि उसके ज़िम्मे गवाही देना लाज़िम है या नहीं अगर उम्मीद है कि उसकी गवाही क़ाज़ी क़बूल कर लेगा तो उसे लाज़िम है कि गवाही दे। मस्तूर यअ्नी जिसका ज़ाहिर हाल शरई है मगर बातिन का हाल मअ्लूम नहीं उसकी गवाही भी ग़ैरे रमज़ान में क़ाबिले क़बूल नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जिस आदिल शख़्स ने रमज़ान का चाँद देखा उस पर वाजिब है कि उसी रात में शहादत अदा कर दे यहाँ तक कि अगर लौंडी या पर्दानशीन औरत ने चाँद देखा तो उस पर गवाही

देने के लिए उसी रात में जाना वाजिब है,लौंडी को इसकी कुछ ज़रूरत नहीं कि अपने आक़ा से इजाज़त ले। यूँही आज़ाद औरत(यअ्नी जो बांदी न हो)को गवाही के लिए जाना वाजिब ,इसके लिए शौहर से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं मगर यह हुक्म उस वक़्त है जब उसकी गवाही पर सुबूत मौक़ूफ़ हो कि बे उसकी गवाही के काम न चले वरना क्या ज़रूरत। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जिसके पास रमज़ान के चाँद की शहादत गुज़री उसे यह ज़रूरी नहीं कि गवाह से यह दरयाफ़्त करे कि तुमने कहाँ से देखा और किस तरफ़ था और कितने ऊँचे पर था वग़ैरा –वग़ैरा (आलमगीरी वग़ैरा) मगर जबकि उसका बयान मुशतबेह (शुबहा पैदा करने वाला)हो तो सवालात करे,ख़ुसूसन ईद में कि लोग ख़्वामख़्वाह उसका चाँद देख लेते हैं।

मसअ्ला :– तन्हा इमाम(बादशाहे इस्लाम)या क़ाज़ी ने चाँद देखा तो उसे इख़्तियार है ख़्वाह ख़ुद ही रोज़ा रखने का हुक्म दे या किसी को शहादत लेने के लिए मुक़र्रर करे और उसके पास शहादत अदा करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– गाँव में चाँद देखा और यहाँ कोई ऐसा नहीं जिसके पास गवाही दे तो गाँव वालों पर रोज़ा रखना लाज़िम है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी ने ख़ुद तो चाँद नहीं देखा मगर देखने वाले ने उसे अपनी शहादत का गवाह बनाया तो उसे उसकी शहादत का वही हुक्म है जो चाँद देखने वाले की गवाही का है जबकि शहादत अलश्शहादत यअ्नी गवाही पर गवाह बनाने की तमाम शर्तें पाई जायें। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– अगर मतला साफ़ हो (यअ्नी आसमान साफ़ हो)तो जब तक बहुत से लोग शहादत न दें चाँद का सुबूत नहीं हो सकता,रहा यह कि उसके लिए कितने चाहिए यह क़ाज़ी के मुतअ़ल्लिक़ है जितने गवाहों से उसे ग़ालिब गुमान हो जाये हुक्म दे देगा मगर जबकि शहर के बाहर या बलन्द जगह से चाँद देखना बयान करता है तो एक मस्तूर का क़ौल भी रमज़ान के चाँद में क़बूल कर लिया जायेगा। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– जमाअ़ते कसीरा (बड़ी जमाअ़त यानी बहुत से लोगों) की शर्त उस वक़्त है जब रोज़ा रखने या ईद करने के लिए शहादत गुज़रे और अगर किसी और मामले के लिए दो मर्द या एक मर्द दो औरतों सिक़ा (आ़दिल) की शहादत गुज़री और क़ाज़ी ने शहादत की बिना पर हुक्म दे दिया तो अब यह शहादत काफ़ी है रोज़ा रखने या ईद करने के लिए भी सुबूत हो गया मसलन एक शख़्स ने दूसरे पर दअ़्वा किया कि उसके ज़िम्मे इतना दैन है और उसकी मीआ़द यह ठहरी थी कि जब रमज़ान आ जाये तो दैन अदा कर देगा और रमज़ान आ गया मगर यह नहीं देता मुद्दआ़ अ़लैह(जिस पर दअ़्वा किया गया हो) ने कहा बेशक इसका दैन मेरे ज़िम्मे है और मीआ़द भी यही ठहरी थी मगर अभी रमज़ान नहीं आया उस पर मुद्दई ने दो गवाह गुज़ारे जिन्होंने चाँद देखने की शहादत दी क़ाज़ी ने हुक्म दे दिया कि दैन अदा कर अगर्चे मतला साफ़ था और दो ही की गवाहियाँ हुई मगर अब रोज़ा रखने और ईद करने के हक़ में भी यह दो गवाहियाँ काफ़ी हैं। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– यहाँ मतला साफ़ था मगर दूसरी जगह साफ़ नहीं था वहाँ क़ाज़ी के सामने शहादत गुज़री। क़ाज़ी ने चाँद होने का हुक्म दिया, (अब दो या चन्द आदमियों ने यहाँ आकर जहाँ मतला साफ़ था इस बात की गवाही दी कि फ़लाँ क़ाज़ी के यहाँ दो शख़्सों ने फ़ुलाँ रात में चाँद देखने की गवाही दी और उस क़ाज़ी ने हमारे सामने हुक्म दे दिया और दअ़्वे के शराइत भी पाये जाते हैं तो यहाँ का क़ाज़ी भी इन शहादतों की बिना पर हुक्म दे देगा।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर कुछ लोग आकर यह कहें कि फुलाँ जगह चाँद हुआ बल्कि शहादत भी दें कि फुलाँ जगह चाँद हुआ बल्कि अगर यह शहादत दें कि फुलाँ–फुलाँ ने देखा बल्कि अगर यह शहादत दें कि फुलाँ–फुलाँ जगह के क़ाज़ी ने रोज़ा या इफ़्तार के लिए लोगों से कहा यह सब तरीक़े नाकाफ़ी हैं।(मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– किसी शहर में चाँद हुआ और वहाँ से बहुत सी जमाअ़तें दूसरे शहर में आईं और सब ने उसकी ख़बर दी कि वहाँ फुलाँ दिन चाँद हुआ है और तमाम शहर में यह बात मशहूर है और वहाँ के लोगों ने चाँद दिख जाने की बिना पर फुलाँ दिन से रोज़े शुरूअ़ किये तो यहाँ वालों के लिए भी सुबूत हो गया। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– रमज़ान की चाँद–रात को अब्र था एक शख़्स ने गवाही दी उसकी बिना पर रोज़े का हुक्म दे दिया गया और अब ईद का चाँद अब्र की वजह से नहीं देखा गया तो तीस रोज़े पूरे करके ईद कर लें और अगर मतला साफ़ है तो ईद न करें मगर जबकि दो आ़दिलों की गवाही से रमज़ान साबित हुआ हो। (दुर्रे मुख़्तार ,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मतला न साफ़ हो तो अलावा रमज़ान के शव्वाल, ज़िलहिज्जा बल्कि तमाम महीनों के लिए दो मर्द या एक मर्द दो औ़रतें गवाही दें और सब आ़दिल हों और आज़ाद हों और उनमें किसी पर तोहमते ज़िना की हद न क़ाइम की गई हो अगर्चे तौबा कर चुका हो और यह भी शर्त है कि गवाह गवाही देते वक़्त यह लफ़्ज़ कहे "मैं गवाही देता हूँ"। (आ़म्मए कुतुब)

मसअ्ला :– गाँव में दो शख़्सों ने ईद का चाँद देखा और मतला साफ़ है और वहाँ ऐसा नहीं जिसके पास यह शहादत दें तो गाँव वालों से कहें अगर यह आ़दिल हों तो लोग ईद कर लें। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– तन्हा इमाम या क़ाज़ी ने ईद का चाँद देखा तो उन्हें ईद करना या ईद का हुक्म देना जाइज़ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– उन्तीसवें रमज़ान को कुछ लोगों ने यह शहादत दी कि हमने लोगों से एक दिन पहले चाँद देखा जिसके हिसाब से आज तीस है तो अगर यह लोग यहीं थे तो इनकी गवाही मक़बूल नही कि वक़्त पर गवाही क्यों न दी और यहाँ न थे और आ़दिल हों तो क़बूल कर ली जाये। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– रमज़ान का चाँद दिखाई न दिया या शअ़बान के तीस दिन पूरे करके रोज़े शुरूअ़ कर दिये। अट्ठाईस ही रोज़े रखे थे ईद का चाँद हो गया तो अगर शअ़बान का चाँद देखकर तीस दिन का महीना क़रार दिया था तो एक रोज़ा क़ज़ा रखें और अगर शअ़बान का भी चाँद दिखाई न दिया था बल्कि रजब की तीस तारीख़ पूरी करके शाबान का महीना शुरू किया तो दो रोज़े क़ज़ा रखें। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– दिन में हिलाल (चाँद)दिखाई दिया ज़वाल से पहले या बअ़्द बहरहाल वह आइन्दा रात का क़रार दिया जायेगा यअ़्नी अब जो रात आयेगी उससे महीना शुरूअ़ होगा तो अगर तीसवें रमज़ान के दिन में देखा तो यह दिन रमज़ान ही का है शव्वाल का नहीं और रोज़ा पूरा करना फ़र्ज़ है और अगर शअ़बान की तीसवीं तारीख़ के दिन में देखा तो यह दिन शअ़बान का है रमज़ान का नहीं। लिहाज़ा आज का रोज़ा फ़र्ज़ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– एक जगह चाँद हुआ तो वह सिर्फ़ वहीं के लिए नहीं बल्कि तमाम जहान के लिए है मगर दूसरी जगह के लिए इसका हुक्म उस वक़्त है कि उन के नज़दीक उस दिन तारीख़ में चाँद होना शरई सुबूत से साबित हो जाये यअ़्नी देखने की गवाही या क़ाज़ी के हुक्म की शहादत

गुज़रे या बहुत सी जमाअत वहाँ से आकर ख़बर दें कि फुलाँ जगह चाँद है और वहाँ लोगों ने रोज़ा रखा या ईद की है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– तार या टेलीफ़ोन से चाँद का हो जाना नहीं साबित हो सकता, न बाज़ारी अफ़वाह और जन्तरियों और अख़बारों में छपा होना कोई सुबूत है। आजकल उमूमन देखा जाता है कि उन्तीस रमज़ान को बहुत ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह तार भेजे जाते हैं कि चाँद हुआ या नहीं अगर कहीं से तार आ गया बस लो ईद आ गई ,यह महज़ नाजाइज़ व हराम है। तार क्या चीज़ है अव्वलन तो यही मअ्लूम नहीं कि जिसके नाम लिखा है वाक़ई उसी का भेजा हुआ है और फ़र्ज़ करो उसी का हो तो तुम्हारे पास क्या सुबूत और यह भी सही तो तार में अकसर ग़लतियाँ होती ही रहती हैं हाँ का नहीं ,नहीं का हाँ मअ्मूली बात है और माना कि बिल्कुल सही पहुँचा तो यह महज़ एक ख़बर है शहादत नहीं और वह भी बीसों वास्तों से अगर तार देने वाला अंग्रेज़ी पढ़ा हुआ नहीं तो किसी और से लिखवायेगा मअ्लुम नहीं कि उसने क्या लिखवाया इसने क्या लिखा आदमी को दिया,उसने तार वाले के हवाले किया। अब यहाँ के तार–घर में पहुँचा तो उसने तक़सीम करने वाले को दिया उसने अगर किसी और के हवाले कर दिया तो मअ्लूम नहीं कितने वास्तों से इसको मिले और अगर इसी को दिया जब भी कितने वास्ते हैं फिर यह देखिये कि मुसलमान मस्तूर जिसका आदिल व फ़ासिक़ होना मअ्लूम न हो उस तक की गवाही मोअ्तबर(एअ्तिबार के क़ाबिल)नहीं और यहाँ जिन–जिन ज़रीओं से तार पहुँचा उनमें सब के सब मुसलमान ही हों यह एक अक़लीए हतिमाल है जिसका वुजूद मअ्लूम नहीं होता और अगर यह मकतूब इलैह (जिसको ख़त लिखा गया)साहब भी अंग्रेज़ी पढ़े न हों तो किसी से पढ़वायेंगे अगर किसी काफ़िर ने पढ़ा तो क्या एअ्तिबार और मुसलमान ने पढ़ा तो क्या एअ्तिमाद कि सही पढ़ा। ग़रज़ शुमार कीजिए तो ब–कसरत(बहुत सी)ऐसी वजहें हैं जो तार के एअ्तिबार को ख़त्म करती हैं। फ़ुक़हा ने ख़त का तो एअ्तिबार ही न किया अगर्चे कातिब के दस्तख़त व तहरीर पहचानता हो और उस पर उसकी मोहर भी हो कि اَلْخَطُّ يَشْبَهُ الْخَطَّ وَ الْخَاتَمُ يَشْبَهُ الْخَاتَمَ ख़त ख़त के मुशाबेह होता है और मोहर मोहर के और यहाँ तो तार है,और अल्लाह ज़्यादा जानता है।

मसअला :– हिलाल देखकर उसकी तरफ़ उंगली से इशारा करना मकरूह है अगर्चे दूसरों को बताने के लिए हो। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

उन चीज़ो का बयान जिनसे रोज़ा नहीं जाता

हदीस न.1 :– सही बुख़ारी मुस्लिम में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं रोज़ादार ने भूलकर खाया या पिया वह अपने रोज़े को पूरा करे कि उसे अल्लाह ने खिलाया और पिलाया।

हदीस न.2 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व दारमी अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिस पर कै ने ग़लबा किया उस पर क़ज़ा नहीं और जिसने क़स्दन कै की उस पर रोज़ा क़ज़ा है।

हदीस न.3 :– तिर्मिज़ी अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि एक शख़्स ने ख़िदमते अक़दस में हाज़िर होकर अर्ज़ की मेरी आँख में मरज़ है क्या रोज़े की हालत में सुर्मा लगाऊँ। फ़रमाया हाँ।

हदीस न.4 :– तिर्मिज़ी अबू सईद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तीन चीचें रोज़ा नहीं तोड़तीं पछना (ख़ून निकलवाना)और कै और एहतिलाम।

तम्बीह :– इस बाब में उन चीजों का बयान है जिन से रोज़ा नहीं टूटता रहा यह अम्र (बात)कि उनसे रोज़ा मकरूह भी होता है या नहीं उससे इस बाब को तअ़ल्लुक़ नहीं न यह कि फ़ेल जाइज़ है या नाजाइज़।

मसअ्ला :– भूलकर खाया या पिया या जिमा़ किया रोज़ा फ़ासिद न हुआ ख़्वाह वह रोज़ा फ़र्ज़ हो या नफ़्ल और रोज़े की नियत से पहले यह चीज़ें पाई गयीं या बअ्द में मगर जब याद दिलाने पर भी याद न आया कि रोज़ादार है तो अब फ़ासिद हो जायेगा ब–शर्ते कि याद दिलाने के बअ्द यह अफ़आल वाक़ेअ् हुए हों मगर इस सूरत में कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– किसी रोज़ादार को इन अफ़आ़ल में देखे तो याद दिलाना वाजिब है याद न दिलाया तो गुनाहगार होगा मगर जबकि वह रोज़ादार बहुत कमज़ोर हो कि याद दिलायेगा तो वह खाना छोड़ देगा और कमज़ोरी इतनी बढ़ जायेगी कि रोज़ा रखना दुश्वार होगा और खा लेगा तो रोज़ा भी अच्छी त़रह पूरा कर लेगा और दीगर इबादतें भी ब–ख़ूबी अदा कर लेगा तो इस सूरत में याद न दिलाना बेहतर है। ब़ाज़ मशाइख़ ने कहा जवान को देखे तो याद दिला दे और बूढ़े को देखे तो याद न दिलाने में ह़रज नहीं मगर यह हुक्म अकसर के लिहाज़ से है कि जवान अकसर क़वी होते हैं और बूढ़े अक्सर कमज़ोर और अस्ल हुक्म यह है कि जवानी और बुढ़ापे को कोई दख़ल नहीं बल्कि कुव्वत व ज़ुअ़्फ़ (कमज़ोरी)का लिहाज़ है। लिहाज़ा अगर जवान इस क़द्र कमज़ोर हो तो याद न दिलाने में ह़रज नहीं और बूढ़ा क़वी हो तो याद दिलाना वाजिब। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मक्खी या धूल या गुबार ह़ल्क़ में जाने से रोज़ा नहीं टूटता ख़्वाह वह गुबार आटे का हो कि चक्की पीसने या आटा छानने में उड़ता है या ग़ल्ले का गुबार हो या हवा से ख़ाक उड़ी या जानवरों के खुर या टाप से गुबार उड़ कर ह़ल्क़ में पहुँचा अगर्चे रोज़ादार होना याद था और अगर खुद क़स्दन धुआँ पहुँचाया तो फ़ासिद हो गया जबकि रोज़ादार होना याद हो ख़्वाह वह किसी चीज़ का धुआँ हो और किसी त़रह पहुँचाया हो यहाँ तक कि अगर की बत्ती वग़ैरा खुशबू सुलगती थी उसने मुँह क़रीब करके धुँए को नाक से खींचा रोज़ा जाता रहा। यूँही हुक़्क़ा पीने से भी रोज़ा टूट जाता है अगर रोज़ा याद हो और हुक़्क़ा पीने वाला अगर पीये तो कफ़्फ़ारा भी लाज़िम आयेगा।

मसअ्ला :– भरी सिंगी लगवायी या तेल या सुर्मा लगाया तो रोज़ा न गया अगर्चे तेल या सुर्मे का मज़ा ह़ल्क़ में मह़सूस होता हो बल्कि थूक में सुर्मे का रंग भी दिखाई देता हो जब भी नहीं टूटा।

मसअ्ला :– बोसा लिया मगर इन्ज़ाल न हुआ तो रोज़ा नहीं। टूटा यूहीं औरत की त़रफ़ बल्कि उसकी शर्मगाह की त़रफ़ नज़र की मगर हाथ न लगाया और इन्ज़ाल हो गया अगर्चे बार–बार नज़र करने या जिमा़ वग़ैरा के ख़्याल करने से इन्ज़ाल हुआ अगर्चे देर तक ख़्याल जमाने से ऐसा हुआ हो उन सब सूरतों में रोज़ा नहीं टूटा। (जौहरा ,दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– गुस्ल किया और पानी की खुनकी अन्दर मह़सूस हुई या कुल्ली की और पानी बिल्कुल फेंक दिया सिर्फ़ कुछ तरी मुँह में बाक़ी रह गयी थी थूक के साथ उसे निगल गया या दवा कूटी और ह़ल्क़ में उसका मज़ा मह़सूस हुआ या हड़ चूसी और थूक निगल गया मगर थूक के साथ हड़ का कोई जुज़ ह़ल्क़ में न पहुँचा या कान में पानी चला गया या तिनके से कान खुजाया और उस पर कान का मैल लग गया फिर वही मैल लगा हुआ तिनका कान में डाला अगर्चे चन्द बार किया

हो या दाँत या मुँह में ख़फ़ीफ़ (बहुत थोड़ी)चीज़ मअ्मूली सी रह गई कि लुआब के साथ खुद ही उतर जायेगी और वह उतर गई या दाँतों से खून निकलकर हल्क़ तक पहुँचा मगर हल्क़ से नीचे न उतरा तो उन सब सूरतों में रोज़ा न गया। (दुर्रे मुख़्तार फ़तहुल क़दीर)

मसअ्ला :- रोज़ादार के पेट में किसी ने नेज़ा या तीर भोंक दिया अगर्चे उसकी भाल या पैकान (फ़ल)पेट के अन्दर रह गई, या उसके पेट में झिल्ली तक ज़ख़्म था किसी ने कंकरी मारी कि अन्दर चली गयी तो रोज़ा नहीं टूटा और अगर खुद उसने यह सब किया और भाल या पैकान या कंकरी अन्दर रह गयी तो जाता रहा। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :- बात करने में थूक से होंट तर हो गये और उसे पी गया,मुँह से राल टपकी मगर तार टूटा न था उसे चढ़ा कर पी गया ,नाक में रेंठ आ गयी बल्कि नाक से बाहर हो गई मगर मुनक़ता (अलग)न हुई थी कि उसे चढ़ा कर निगल गया या खंकार मुँह में आया और खा गया अगर्चे कितना ही हो रोज़ा न जायेगा मगर इन बातों से एहतियात चाहिये। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :- मक्खी हल्क़ में चली गयी रोज़ा न गया और क़स्दन निगली तो जाता रहा। (आलमगीरी)

मसअ्ला :- ग़ैरे सबीलैन में जिमा किया (शर्म गाहों के अलावा मज़ा हासिल किया)तो जब तक इन्ज़ाल न हो रोज़ा न टूटेगा। यूँही हाथ से मनी निकालने में अगर्चे यह सख़्त हराम हैं कि हदीस में उसे मलऊन फ़रमाया। (दुर्रे मख़्तार)

मसअ्ला :- चौपाया या मुर्दा से जिमा किया और इन्ज़ाल न हुआ तो रोज़ा न गया और इन्ज़ाल हुआ तो जाता रहा मादा जानवर का बोसा लिया या उसकी फर्ज(फ़र्ज पेशाब की जगह)को छुआ तो रोज़ा न गया अगर्चे इन्ज़ाल हो गया।(दुर्रे मुख़्तार)(अगर्चे यह काम ग़ैर इस्लामी व नाजाइज़ हैं।(क़ादरी)

मसअ्ला :- एहतिलाम हुआ या गीबत की तो रोज़ा न गया अगर्चे ग़ीबत बहुत सख़्त कबीरा गुनाह है क़ुर्आन मजीद में ग़ीबत करने की निस्बत ग़ीबत ज़िना से भी सख़्त तर है अगर्चे ग़ीबत की वजह से रोज़े की नूरानियत जाती रहती है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :- जनाबत की हालत में सुबह की बल्कि अगर्चे सारे दिन जुनुब रहा रोज़ा न गया मगर इतनी देर तक क़स्दन(जान बूझ कर)गुस्ल न करना कि नमाज़ कज़ा हो जाये गुनाह व हराम है। हदीस में फ़रमाया कि जुनुब (बे–गुस्ला)जिस घर में होता है उसमें रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :- जिन्न यअ्नी परी से जिमाअ् किया तो जब तक इन्ज़ाल न हो रोज़ा न टूटेगा। (रद्दुल मुहतार) यअ्नी जबकि इन्सानी शक्ल में न हो और इन्सानी शक्ल में हो तो वही हुक्म है जो इन्सान से जिमा करने का है।

मसअ्ला :- तिल या तिल के बराबर कोई चीज़ चबाई और थूक के साथ हल्क़ से उतर गई तो रोज़ा न गया मगर जबकि उसका मज़ा हल्क़ में महसूस होता हो तो रोज़ा जाता रहा।(फ़तहुल क़दीर)

रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों का बयान

हदीस न.1 :- बुख़ारी व अहमद व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व दारमी अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जिसने रमज़ान के एक दिन का रोज़ा बग़ैर रुख़सत बग़ैर मरज़ के न रखा तो ज़माने भर का रोज़ा उसकी कज़ा नहीं हो सकता अगर्चे रख भी ले यअ्नी वह फ़ज़ीलत जो रमज़ान में रखने की थी

किसी तरह हासिल नहीं कर सकता। तो जब रोज़ा न रखने में यह सख़्त वईद है,रखकर तोड़ देना इससे सख़्ततर है।

हदीस न.2 :– इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हब्बान अपनी सही में अबू उमामा बाहली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से सुना कि हुज़ूर फ़रमाते हैं मैं सो रहा था दो शख़्स हाज़िर हुए और मेरे बाजू पकड़ कर एक पहाड़ के पास ले गये और मुझसे कहा चढ़िये। मैंने कहा मुझमें इस की ताक़त नहीं। उन्होंने कहा हम सहल कर देंगे। मैं चढ़ गया जब बीच पहाड़ पर पहुँचा तो सख़्त आवाज़ें सुनाई दीं,मैंने कहा यह कैसी आवाज़ें हैं। उन्होंने कहा यह जहन्नमियों की आवाज़ें हैं फिर मुझे आगे ले गये। मैंने एक क़ौम को देखा वह लोग उल्टे लटके हुए हैं और उनकी बाछें चीरी जा रही हैं जिससे ख़ून बहता है। मैंने कहा ये कौन लोग हैं कहा यह वह लोग हैं कि वक़्त से पहले रोज़ा इफ़्तार कर देते हैं।

हदीस न.3 :– अबू यअ़्ला इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि इस्लाम के कड़े (बुनियाद) और दीन के क़वाइद तीन हैं जिन पर इस्लाम की बुनियाद मज़बूत की गई जो उनमें एक को तर्क करे वह काफ़िर है उसका ख़ून हलाल है कलिमए तौहीद की शहादत और नमाज़े फ़र्ज़ और रोज़ए रमज़ान और एक रिवायत में है जो उनमें से एक को तर्क करे वह अल्लाह के साथ कुफ़्र करता है और उसका फ़र्ज़ व नफ़्ल कुछ मक़बूल नहीं।

मसअ्ला :– खाने–पीने जिमा करने से रोज़ा जाता रहता है जबकि रोज़ादार होना याद हो। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– हुक़्क़ा ,सिगार ,सिगरेट, चर्स पीने से रोज़ा जाता रहता है अगर्चे अपने ख़्याल में हल्क़ तक धूआँ न पहुँचाता हो बल्कि पान या सिर्फ़ तम्बाकू खाने से भी रोज़ा जाता रहेगा अगर्चे पीक थूक दी हो कि उसके बारीक अजज़ा ज़रूर हल्क़ में पहुँचते हैं।

मसअ्ला :– शकर वग़ैरा ऐसी चीज़ें जो मुँह में रखने से घुल जाती हैं मुँह में रखीं और थूक निगल गया रोज़ा जाता रहा। यूँही दाँतों के दरमियान कोई चीज़ चने के बराबर या ज़्यादा थी उसे खा गया या कम ही थी मगर मुँह से निकाल कर फिर खा ली या दाँतों से ख़ून निकल कर हल्क़ से नीचे उतरा और ख़ून थूक से ज़्यादा या बराबर था या कम था मगर उसका मज़ा हल्क़ में महसूस हुआ तो इन सब सूरतों में रोज़ा जाता रहा और अगर कम था और मज़ा भी महसूस न हुआ तो नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– रोज़े में दाँत उखड़वाया और ख़ून निकल कर हल्क़ से नीचे उतरा अगर सोते में ऐसा हुआ तो रोज़े की क़ज़ा वाजिब है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– कोई चीज़ पाख़ाने के मक़ाम में रखी अगर उसका दूसरा सिरा बाहर रहा तो नहीं टूटा वरना जाता रहा, लेकिन अगर वह तर है और उसकी रुतूबत (तरी) अन्दर पहुँची तो मुतलक़न जाता रहा यही हुक्म औ़रत की शर्मगाह का है। शर्मगाह से मुराद इस बाब में फर्जे दाख़िल है, यूँही अगर डोरे में बोटी बाँधकर निगल ली और डोरे का दूसरा किनारा बाहर रहा और जल्द निकाल ली कि गलने न पाई तो नहीं गया और अगर दूसरा किनारा भी अन्दर चला गया या बोटी का कुछ हिस्सा अन्दर रह गया तो रोज़ा जाता रहा। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औ़रत ने पेशाब के मक़ाम में रूई या कपड़ा रखा और बिल्कुल बाहर न रहा रोज़ा जाता रहा,और ख़ुश्क उंगली पाख़ाने के मक़ाम में रखी या औ़रत ने शर्मगाह में तो रोज़ा न गया और भीगी थी या उस पर कुछ लगा था तो जाता रहा बशर्ते कि पाख़ाने के मक़ाम में उस जगह रखी हो जहाँ अ़मल देते यअ़्नी पाख़ाने के मक़ाम में दवा डालते वक़्त हुक़ना का सिरा रखते हैं।

मसअ्ला :– मुबालगे के साथ इस्तिन्जा किया यहाँ तक कि हुक्ना रखने की जगह तक पानी पहुँच गया रोज़ा जाता रहा और इतना मुबालग़ा चाहिए भी नहीं कि इससे सख़्त बीमारी का अन्देशा है।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मर्द ने पेशाब के सूराख़ में पानी या तेल डाला तो रोज़ा न गया अगर्चे मसाने तक पहुँच गया हो और औरत ने शर्मगाह में टपकाया तो जाता रहा। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– दिमाग़ या शिकम (पेट)की झिल्ली तक ज़ख़्म है उसमें दवा डाली अगर दिमाग़ या शिकम तक पहुँच गई रोज़ा जाता रहा ख़्वाह वह दवा तर हो या ख़ुश्क और अगर मअ्लूम न हो कि दिमाग़ या शिकम तक पहुँची या नहीं और दवा तर थी जब भी जाता रहा और ख़ुश्क थी तो नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– हुक्ना लिया या नथनों से दवा चढ़ाई या कान में तेल डाला या तेल चला गया रोज़ा जाता रहा और पानी कान में चला गया या डाला तो नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– कुल्ली कर रहा था कि बिलाक़स्द पानी हल्क़ से उतर गया या नाक में पानी चढ़ाया और दिमाग़ को चढ़ गया रोज़ा जाता रहा मगर जब कि रोज़ा होना भूल गया हो तो न टूटेगा अगर्चे क़स्दन (जानबूझ कर) हो। यूहीं किसी ने रोज़ादार की तरफ़ कोई चीज़ फेंकी वह उसके हल्क़ में चली गयी रोज़ा जाता रहा। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– सोते में पानी पी लिया या कुछ खा लिया या मुँह खुला था और पानी का क़तरा या ओला हल्क़ में जा रहा रोज़ा जाता रहा। (जौहरा,आलमगीरी)

मसअ्ला :– दूसरे का थूक निगल गया या अपना ही थूक हाथ पर लेकर निगल गया रोज़ा जाता रहा। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– डोरा बटा उसे तर करने के लिए मुँह पर गुज़ारा फिर दोबारा व तिबारा यूँही किया रोज़ा न जायेगा मगर जबकि डोरे से कुछ रुतूबत जुदा होकर मुँह में रही और थूक निगल गया तो रोज़ा जाता रहा। (जौहरा)

मसअ्ला :– आँसू मुँह में चला गया और निगल लिया अगर क़तरा दो क़तरा है तो रोज़ा न गया और ज़्यादा था कि उसकी नमकीनी पूरे मुँह में महसूस हुई तो जाता रहा। पसीना का भी यही हुक्म है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– पाख़ाने का मक़ाम बाहर निकल पड़ा तो हुक्म है कि कपड़े से ख़ूब पोंछकर उठे कि तरी बिल्कुल बाक़ी न रहे और अगर पानी उस पर बाक़ी था और ख़ड़ा हो गया कि पानी अन्दर चला गया तो रोज़ा फ़ासिद हो गया। इसी वजह से फ़ुक़हाए किराम फ़रमाते हैं रोज़ादार इस्तिन्जा करने में साँस न ले। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत का बोसा लिया या छूआ या मुबाशरत (यहाँ मुबाशरत से मुराद चूमना वग़ैरा है) की या गले लगाया और इन्ज़ाल हो गया यानी मनी बाहर हो गई तो रोज़ा जाता रहा। और औरत ने मर्द को छुआ और मर्द को इन्ज़ाल हो गया तो रोज़ा न गया। औरत को कपड़े के ऊपर से छुआ और कपड़ा इतना मोटा है कि बदन की गर्मी महसूस नहीं होती तो फ़ासिद न हुआ अगर्चे इन्ज़ाल हो गया। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़स्दन भर मुँह "कै की और रोज़ादार होना याद है तो मुतलक़न रोज़ा जाता रहा और उससे कम की तो नहीं और बिला इख़्तियार 'कै' हो गई तो भर मुँह है या नहीं और बहरहाल वह लौट कर हल्क़ में चली गयी या उसने खुद लौटाई या कै न लौटी न लौटाई तो अगर भर मुँह न हो रोज़ा न गया अगर्चे लौट गई या उसने खुद लौटाई और भर मुँह है और उसने खुद लौटाई तो

अगर उस में से सिर्फ़ चने बराबर हल्क़ से उतरी तो रोज़ा जाता रहा वरना नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– कै के अहकाम उस वक़्त हैं कि कै में खाना आये या सफ़रा (पित्त) या ख़ून और अगर बलग़म आया तो मुतलक़न रोज़ा न टूटा। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– रमज़ान में बिला उज़्र जो शख़्स अलानिया क़स्दन यअ्नी खुलेआम खाये–पिये तो हुक्म है उसे क़त्ल किया जाये। (दुर्रे मुख़्तार)

उन सूरतों का बयान जिनमें सिर्फ़ क़ज़ा लाज़िम है

मसअ्ला :– यह गुमान था कि सुबहे सादिक़ नहीं हुई और खा लिया या पी लिया या जिमा किया बअ्द को मअ्लूम हुआ कि सुबहे सादिक़ हो चुकी थी,या खाने–पीने पर मजबूर किया गया यअ्नी इकराहे शरई पाया गया यअ्नी ज़बरदस्ती या सख़्त धमकी देकर खिलाया गया अगर्चे अपने हाथ से खाया हो तो सिर्फ़ क़ज़ा लाज़िम है यअ्नी उस रोज़े के बदले में एक रोज़ा रखना पड़ेगा।(दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– भूलकर खाया या पिया या जिमा किया था या नज़र करने से इन्ज़ाल हुआ था या एहतिलाम हुआ या कै हुई और इन सब सूरतों में यह गुमान किया कि रोज़ा जाता रहा अब क़स्दन खा लिया तो सिर्फ़ क़ज़ा फ़र्ज़ है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– कान में तेल टपकाया या पेट या दिमाग़ की झिल्ली तक ज़ख़्म था उसमें दवा डाली कि पेट या दिमाग़ तक पहुँच गयी या हुक़ना लिया नाक से चढ़ाई, या पथरी, कंकरी, मिट्टी, रूई, काग़ज़, घास वग़ैरा ऐसी चीज़ खाई जिससे लोग घिन करते हैं या रमज़ान में बिला नियते रोज़ा रोज़े की तरह रहा या सुबहे सादिक़ को नियत–नहीं की थी दिन में ज़वाल से पहले नियत की और नियत के बाद खा लिया या रोज़ें की नियत थी मगर रोज़ए रमज़ान की नियत न थी या उसके हल्क़ में मेंह की बूँद या ओला जा रहा या बहुत सा आँसू या पसीना निगल गया या बहुत छोटी लड़की से जिमा किया जो क़ाबिले जिमा न थी या मुर्दा या जानवर से वती की या रान या पेट पर जिमा किया या बोसा या औरत के होंट चूसे या औरत का बदन छूआ अगर्चे कोई कपड़ा बीच में हाइल (आड़) हो मगर बदन की गर्मी महसूस होती हो और इन सब सूरतों में इन्ज़ाल भी हो गया या हाथ से मनी निकाली या मुबाशरते फ़ाहिशा (ज़कर के शर्मगाह से छू जाने को मुबाशरते फ़ाहिशा कहते हैं) से इन्ज़ाल हो गया या अदाये रमज़ान के अलावा और कोई रोज़ा फ़ासिद कर दिया अगर्चे वह रमज़ान ही की क़ज़ा हो या औरत रोज़ादार सो रही थी सोते में उससे वती की गई या सुबहे सादिक़ को होश में थी और रोज़े की नियत कर ली थी फिर पागल हो गयी और उसी हालत में उससे वती की गयी या यह गुमान कर के कि रात है सहरी खा ली या रात होने में शक था और सहरी खा ली हालाँकि सुबहे सादिक़ हो चुकी थी या यह गुमान करके कि आफ़ताब डूब गया है इफ़्तार कर लिया हालाँकि डूबा न था या दो शख़्सों ने शहादत दी आफ़ताब डूब गया और दो ने शहादत दी कि दिन है और उसने रोज़ा इफ़्तार कर लिया बअ्द को मालूम हुआ कि गुरूब नहीं हुआ था इन सब सूरतों में सिर्फ़ क़ज़ा लाज़िम है कफ़्फ़ारा नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मुसाफ़िर ने इक़ामत की, हैज़ व निफ़ास वाली पाक हो गयी,मजनून को होश हो गया, मरीज़ था अच्छा हो गया जिसका रोज़ा जाता रहा अगर्चे जबरन किसी ने तुड़वा दिया या ग़लती से पानी वग़ैरा कोई चीज़ हल्क़ में जा रही, काफ़िर था मुसलमान हो गया, नाबालिग़ था बालिग़ हो

गया रात समझकर सहरी खाई थी हालाँकि सुबहे सादिक हो चुकी थी गुरूब समझकर इफ़्तार कर लिया हालाँकि दिन बाकी था तो इस सब सूरतों में जो कुछ दिन बाकी रह गया है उसे रोज़े की मिस्ल गुजारना वाजिब है और नाबालिग़ जो बालिग़ हुआ या काफ़िर था मुसलमान हुआ उन पर उस दिन की कज़ा वाजिब नहीं बाकी सब पर कज़ा वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– नाबालिग़ दिन में बालिग़ हुआ या काफ़िर दिन में मुसलमान हुआ और वह वक़्त ऐसा था कि रोज़े की नियत हो सकती है और नियत कर भी ली फिर वह रोज़ा तोड दिया तो उस दिन की कज़ा वाजिब नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– बच्चे की उम्र दस साल की हो जाये और उसमें रोज़ा रखने की ताक़त हो तो उससे रोज़ा रखवाया जाये न रखे तो मार कर रखवायें अगर पूरी ताक़त देखी जाये और रखकर तोड़ दिया तो कज़ा का हुक्म न देंगे और नमाज़ तोड़े तो फिर पढ़वायें। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– हैज़ व निफ़ास वाली सुबहे सादिक के बअ्द पाक हो गई अगर्चे ज़हवए कुबरा से पहले और रोज़े की नियत कर ली तो आज का रोज़ा न हुआ न फ़र्ज़ न नफ़्ल और मरीज़ या मुसाफ़िर ने नियत की या मजनून था होश में आकर नियत की तो उन सब का रोज़ा हो गया। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– सुबहे सादिक से पहले या भूलकर जिमा में मशगूल था सुबहे सादिक होते ही याद आने पर फ़ौरन जुदा हो गया तो कुछ नहीं और उसी हालत पर रहा तो कज़ा वाजिब है कफ़्फ़ारा नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मय्यत के रोज़े कज़ा हो गये तो उसका वली उसकी तरफ़ से फ़िदिया अदा कर दे यअ्नी जबकि वसीयत की और माल छोड़ा हो वरना वली पर ज़रूरी नहीं, कर दे तो बेहतर है।

उन सूरतों का बयान जिन में कफ़्फ़ारा भी लाज़िम है

मसअ्ला :– रमज़ान में रोज़ादार मुकल्लफ़ मुकीम ने कि अदाए रमज़ान के रोज़े की नियत से रोज़ा रखा और किसी आदमी के साथ जो काबिले शहवत है उसके आगे–पीछे के मकाम में जिमा किया इन्ज़ाल हुआ हो या नहीं या उस रोज़ादार के साथ जिमा किया गया या कोई ग़िज़ा या दवा खाई या पानी पिया या कोई चीज़ लज़्ज़त के लिए खाई या पी या कोई ऐसा फ़ेल (काम)किया जिससे इफ़्तार का गुमान न होता हो और उसने गुमान कर लिया कि रोज़ा जाता रहा फिर जानबूझ कर खा पी लिया मसलन फ़स्द या पछना लिया या सुर्मा लगाया या जानवर से वती की या औरत को छुआ या बोसा लिया या साथ लिटाया या मुबाशरते फ़ाहिशा की मगर इन सब सूरतों में इन्ज़ाल न हुआ या पाख़ाने के मकाम मे अन्दर खुश्क उंगली रखी अब इन अफ़आल(कामों) के बाद कस्दन खा लिया तो इन सब सूरतों में रोज़े की क़ज़ा और कफ़्फ़ारा दोनों लाज़िम हैं और अगर उन सूरतों में कि इफ़्तार का गुमान न था और उसने गुमान कर लिया अगर किसी मुफ़्ती ने फ़तवा दे दिया था कि रोज़ा जाता रहा और मुफ़्ती ऐसा हो कि अहले शहर का उस पर एअ्तिमाद हो उसके फ़तवा देने पर उसने कस्दन खा लिया या उसने कोई हदीस सुनी थी जिसके सही मअ्ना न समझ सका और उस ग़लत मअ्ना के लिहाज़ से जान लिया कि रोज़ा जाता रहा और कस्दन खा लिया तो अब कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं अगर्चे मुफ़्ती ने ग़लत फ़तवा दिया या जो हदीस उसने सुनी साबित न हो। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– जिस जगह रोज़ा तोड़ने से कफ़्फ़ारा लाज़िम आता है उसमें शर्त यह है कि रात ही से रमज़ान के रोज़े की नियत की हो अगर दिन में नियत की और तोड़ दिया तो कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं। (जौहरा)

मसअला :– मुसाफ़िर सुबहे सादिक़ के बअ़्द ज़हवए कुबरा से पहले वतन को आया और रोज़े की नियत कर ली फिर तोड़ दिया या मजनून इस वक़्त होश में आया और रोज़े की नियत कर के फिर तोड़ दिया तो कफ़्फ़ारा नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– कफ़्फ़ारा लाज़िम होने के लिए यह भी ज़रूरी है कि रोज़ा तोड़ने के बाद कोई ऐसा काम न हुआ हो जो रोज़े के मुनाफ़ी ख़िलाफ़ हो या बग़ैर इख़्तियार ऐसा काम न पाया गया हो जिसकी वजह से रोज़ा इफ़्तार करने (तोड़ने)की रुख़सत होती मसलन औरत को उसी दिन हैज़ या निफ़ास आ गया या रोज़ा तोड़ने के बअ़्द उसी दिन ऐसा बीमार हो गया जिसमें रोज़ा न रखने की इजाज़त है तो कफ़्फ़ारा साकित है और सफ़र से साकित न होगा कि यह इख़्तियारी अम्र(काम)है यअ़्नी अगर कोई जानबूझ कर रमज़ान शरीफ़ का रोज़ा रख कर बिला वजहे शरई तोड़ दे फिर ख़्याल करके मुझ पर कफ़्फ़ारा फ़र्ज़ न हो शरई सफ़र में चला जाये मसलन बरेली शरीफ़ से मारहरा शरीफ़ सफ़र करे बीच में कहीं न रुके जब भी कफ़्फ़ारा फ़र्ज़ है इसलिए कि उस शख़्स ने यह सफ़र ख़ुद से इख़्तियार किया ताकि अपनी हरामकारी पर सज़ा पाने से बच जाये मगर बचेगा हरगिज़ नहीं। यूँही अगर अपने को ज़ख़्मी कर लिया और हालत यह हो गई कि रोज़ा नहीं रख सकता कफ़्फ़ारा साकित न होगा। (जौहरा)

मसअला :– वह काम किया जिससे कफ़्फ़ारा वाजिब होता है फिर बादशाह ने उसे सफ़र पर मजबूर किया कफ़्फ़ारा न होगा। (आलमगीरी)

मसअला : – मर्द को मजबूर करके जिमा कराया या औरत को मर्द ने मजबूर किया फिर जिमा ही के दरमियान में अपनी ख़ुशी से मशग़ूल रहा या रही तो कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं कि रोज़ा तो पहले ही टूट चुका है। (जौहरा) मजबूरी से मुराद इकराहे शरई है जिसमें क़त्ल या उ़ज़्व काट डालने या ज़र्बे शदीद (बहुत सख़्त मार) की सही धमकी दी जाये और रोज़ादार भी समझे कि अगर मैं इस का कहना न मानूँगा तो जो कहता है कर गुज़रेगा।

मसअला :– कफ़्फ़ारा लाज़िम होने के लिए भर पेट खाना ज़रूरी नहीं थोड़ा सा खाने से भी वाजिब हो जायेगा। (जौहरा)

मसअला :– तेल लगाया या ग़ीबत की फिर यह गुमान कर लिया कि रोज़ा जाता रहा या किसी आलिम ही ने रोज़ा जाने का फ़तवा दे दिया अब उसने खा पी लिया जब भी कफ़्फ़ारा लाज़िम है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :–"क़ै" आयी या भूलकर खाया पिया या जिमा किया और इन सब सूरतों में उसे मअ़्लूम था कि रोज़ा न गया फिर उसके बाद खा लिया तो कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं और अगर एहतिलाम हुआ और उसे मअ़्लूम था कि रोज़ा न गया फिर उसके बाद खा लिया तो कफ़्फ़ारा लाज़िम है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जिन सूरतों में रोज़ा तोड़ने पर कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं उनमें शर्त है कि एक ही बार ऐसा हुआ हो और मअ़्सीयत (गुनाह) का इरादा न किया हो वरना उनमें कफ़्फ़ारा देना होगा।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– कच्चा गोश्त खाया अगर्चे मुर्दार का हो तो कफ़्फ़ारा लाज़िम है मगर जबकि सड़ा हो या उसमें कीड़े पड़ गये हों,तो कफ़्फ़ारा नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मिट्टी खाने से कफ़्फ़ारा वाजिब नहीं मगर गुले अरमनी या वह मिट्टी जिसके खाने

की उसे आदत है खाई तो कफ़्फ़ारा वाजिब है ज़्यादा खाया तो नहीं। (जौहरा,आलमगीरी)

मसअला :– नजिस शोरबे में रोटी भिगोकर खाई या किसी की कोई चीज़ ग़सब करके खायी तो कफ़्फ़ारा वाजिब है और थूक में ख़ून था अगर्चे ख़ून ग़ालिब हो निगल लिया या ख़ून पी लिया तो कफ़्फ़ारा नहीं।(जौहरा)

मसअला :– कच्चा अमरूद खाया या पिस्ता या अख़रोट मुसल्लम (साबुत) या ख़ुश्क बादाम मुसल्लम निगल लिया या छिलके समेत अण्डा या छिलके के साथ अनार खा लिया तो कफ़्फ़ारा नहीं और ख़ुश्क पिस्ता या ख़ुश्क बादाम अगर चबाया और उसमें मग़ज़ भी हो तो कफ़्फ़ारा है और मुसल्लम निगल लिया हो तो नहीं अगर्चे फटा हुआ हो और तर बादाम निगलने में भी कफ़्फ़ारा है। (आलमगीरी)

मसअला :– चने का साग खाया तो कफ़्फ़ारा वाजिब यही हुक्म दरख़्त के पत्तों का है जबकि खाये जाते हों वरना नहीं।

मसअला :– ख़रबूज़ा या तरबूज़ का छिलका खाया अगर ख़ुश्क हो या ऐसा हो कि लोग उसके खाने से घिन करते हों तो कफ़्फ़ारा नहीं वरना है। कच्चे चावल बाजरा,मसूर,मूँग खाई तो कफ़्फ़ारा नहीं यह हुक्म कच्चे जौ का है और भुने हुए हों तो कफ़्फ़ारा लाज़िम। (आलमगीरी)

मसअला :– तिल या तिल बराबर खाने की कोई चीज़ बाहर से मुँह में डाल कर बग़ैर चबाये निगल गया तो रोज़ा गया और कफ़्फ़ारा वाजिब। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– दूसरे ने निवाला चबाकर दिया उसने खा लिया या उसने खुद अपने मुँह से निकालकर खा लिया तो कफ़्फ़ारा नहीं। (आलमगीरी)ब–शर्ते कि उसके चबाये हुए को लज़्ज़त या तबर्रुक न समझता हो।

मसअला :– सहरी का निवाला मुँह में था कि सुबहे सादिक़ तुलू हो गयी या भूलकर खा रहा था तो निवाला मुँह में था कि याद आ गया और निगल लिया तो दोनों सूरतों में कफ़्फ़ारा वाजिब मगर जब मुँह से निकाल कर फिर खाया हो तो सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होगी कफ़्फ़ारा नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– औरत ने नाबालिग़ या मजनून से वती कराई या मर्द को वती करने पर मजबूर किया तो औरत पर कफ़्फ़ारा वाजिब है मर्द पर नहीं। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला :– मुश्क, ज़अ्फ़रान, काफ़ूर, सिरका खाया या ख़रबूज़ा, तरबूज़,ककड़ी, खीरा, बाक़ला(एक सब्ज़ी का नाम)का पानी पिया तो कफ़्फ़ारा वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअला :– रमज़ान में रोज़ादार क़त्ल के लिए लाया गया उसने पानी माँगा किसी ने उसे पानी पिला दिया फिर वह छोड़ दिया गया तो उस पर कफ़्फ़ारा वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअला :– बारी से बुख़ार आता था यअ्नी हफ़्ते में एक दिन मुक़र्रर था आज बारी का दिन था उसने वह गुमान करके कि बुख़ार आयेगा रोज़ा क़स्दन तोड़ दिया तो इस सूरत में कफ़्फ़ारा साक़ित है और यूँही औरत को किसी मुअय्यन तारीख़ पर हैज़ आता था और आज हैज़ आने का दिन था उसने क़स्दन रोज़ा तोड़ दिया और हैज़ न आया तो कफ़्फ़ारा साक़ित हो गया यूँही अगर यक़ीन था कि दुश्मन से आज लड़ना है और रोज़ा तोड़ डाला और लड़ाई न हुई तो कफ़्फ़ारा वाजिब नहीं(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– रोज़ा तोड़ने का कफ़्फ़ारा यह है कि मुमकिन हो तो एक रक़बा यअ्नी बांदी या गुलाम आज़ाद कर दे और यह न कर सके मसलन उसके पास न लौंडी गुलाम है न इतना माल कि ख़रीदे या माल तो है मगर रक़बा मयस्सर नहीं जैसे आजकल यहाँ हिन्दुस्तान में,तो पै–दर पै साठ रोज़े यह भी न कर सके तो साठ मसाकीन को भर–भर पेट दोनों वक़्त खाना खिलाये

और रोज़े की सूरत में अगर दरमियान में एक दिन का भी छूट गया तो अब से साठ रोज़े रखे पहले के रोज़े महसूब (शूमार)न होंगे अगर्चे उनसठ रख चुका था अगर्चे बीमारी वग़ैरा किसी उज़्र के सबब छूटा हो मगर औरत को हैज़ आ जाये तो हैज़ की वजह से जितने नागे हुए यह नागे नहीं शुमार किये जायेंगे यअ्नी पहले के रोज़े और हैज़ के बअ्द वाले दोनों मिलाकर साठ हो जाने से कफ़्फ़ारा अदा हो जायेगा। (फ़तुहुल क़दीर)

मसअ्ला :— अगर दो रोज़े तोड़े तो दोनों के लिए दो कफ़्फ़ारा दे अगर्चे पहले का अभी कफ़्फ़ारा अदा न किया हो। (रद्दुल मुहतार)यअ्नी जबकि दोनों दो रमज़ान के हों और अगर दोनों रोज़े एक ही रमज़ान के हों और पहले का कफ़्फ़ारा अदा न किया हो तो एक ही कफ़्फ़ारा दोनों के लिए काफ़ी है। (जौहरा) कफ़्फ़ारे के मुतअ़ल्लिक़ दीगर जुज़यात किताबुत्तलाक़ बाबुल ज़िहार में इन्शाअल्लाह तआ़ला मअ्लूम होंगे।

मसअ्ला :— आज़ाद व ग़ुलाम, मर्द व औरत बादशाह व फ़क़ीर सब पर रोज़ा तोड़ने से कफ़्फ़ारा वाजिब होता है यहाँ तक कि बांदी को अगर मअ्लूम था कि सुबहे सादिक़ हो गई उसने अपने आक़ा को ख़बर दी कि अभी सुबहे सादिक़ न हुई उसने उसके साथ जिमा किया तो लौंड़ी पर कफ़्फ़ारा वाजिब होगा और उसके मौला पर क़ज़ा है कफ्फारा नहीं। (रद्दुल मुहतार)

रोज़े के मकरूहात का बयान

हदीस न.1व 2 :— बुख़ारी व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो बुरी बात कहना और उस पर अ़मल करना न छोड़े तो अल्लाह तआ़ला को इसकी कुछ हाजत नहीं कि उसने खाना–पीना छोड़ दिया है और उसके मिस्ल तबरानी ने अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु सेरिवायत की।

हदीस न.3व4 :— इब्ने माजा व नसई व इब्ने ख़ुज़ैमा व हाकिम व बैहक़ी व दारमी अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया बहुत से रोज़ादार ऐसे हैं कि उन्हें रोज़े से सिवा प्यास के कुछ नहीं और बहुत से रात में क़ियाम करने वाले ऐसे हैं कि उन्हें जागने के सिवा कुछ हासिल नहीं और इसी के मिस्ल तबरानी ने इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की।

हदीस न.5व 6 :— बैहक़ी अबू उ़बैदा और तबरानी अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया रोज़ा सिपर (ढाल)है जब तक उसे फाड़ा न हो। अ़र्ज़ की गई किस चीज़ से फाड़ेगा। इरशाद फ़रमाया झूट या ग़ीबत से।

हदीस न.7 :— इब्ने ख़ुज़ैमा व इब्ने हब्बान व हाकिम अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया रोज़ा इसका नाम नहीं कि खाने और पीने से बाज़ रहना हो रोज़ा तो यह है कि बेहूदा बातों से भी बचा जाये।

हदीस न.8 :— अबू दाऊद ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि एक शख़्स ने नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से रोज़ादार को मुबाशरत करने के बारे में सवाल किया हुज़ूर ने उन्हें इजाज़त दी,फिर एक दूसरे सहाबी ने हाज़िर होकर यही सवाल किया तो उन्होंने मना फ़रमाया और जिन को इजाज़त दी थी बूढ़े थे और जिन को मना फ़रमाया जवान थे। (इस

हदीस में मुबाशरत से मुराद बोसा और चूमना वग़ैरा है जिमा नहीं।
हदीस न.9 : – अबू दाऊद व तिर्मिज़ी आमिर इब्ने रबीआ रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कहते हैं मैंने बेशुमार बार नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रोज़े में मिस्वाक करते देखा।
मसअला :– झूट, चुग़ली, ग़ीबत,गाली देना, बेहूदा बात,किसी को तकलीफ़ देना कि यह चीज़ें वैसे भी नाजाइज़ व हराम हैं ,रोज़े में और ज़्यादा हराम और इन की वजह से रोज़े में कराहत आती है।
मसअला :– रोज़ादार को बिला उज़्र किसी चीज़ का चखना या चबाना मकरूह है,चखने के लिए उज़्र यह है कि मसलन औरत का शौहर या बांदी या ग़ुलाम का आक़ा बदमिज़ाज है कि नमक कम या ज़्यादा होगा तो आक़ा बहुत नाराज़ होगा तो इस वजह से चखने में हरज नहीं। चबाने के लिए यह उज़्र है कि इतना छोटा बच्चा है कि रोटी नहीं खा सकता और कोई नर्म ग़िज़ा नहीं जो उसे खिलाई जाये न हैज़ व निफ़ास वाली या न कोई और बे–रोज़ेदार ऐसा है जो उसे चबा कर दे दे तो बच्चे के खिलाने के लिए रोटी वग़ैरा चबाना मकरूह नहीं। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)
मसअला :– चखने के वह मअ़ना नहीं जो आजकल आम मुहावरा है यअ़नी किसी चीज़ का मज़ा दरयाफ़्त करने के लिये उसमें से थोड़ा खा लेना कि यूँ हो तो कराहत कैसी, रोज़ा ही जाता रहेगा बल्कि कफ़्फ़ारा के शराइत पाये जायें तो कफ़्फ़ारा लाज़िम होगा बल्कि चखने से मुराद यह है कि ज़बान पर रखकर मज़ा दरयाफ़्त कर ले और उसे थूक दे उसमें से हल्क़ में कुछ न जाने पाये।
मसअला :– कोई चीज़ ख़रीदी और उसका चखना ज़रूरी है कि न चखेगा तो नुक़सान होगा तो चखने में हरज नहीं वरना मकरूह है। (दुर्रे मुख़्तार)
मसअला :– बिला उज़्र चखना जो मकरूह बताया गया यह फ़र्ज़ रोज़े का हुक्म है नफ़्ल में कराहत नहीं जबकि उसकी हाजत हो। (रद्दुल मुहतार)
मसअला :– औरत का बोसा लेना और गले लगाना और बदन छूना मकरूह है जबकि यह अन्देशा हो कि इन्ज़ाल हो जायेगा या जिमा में मुबतला होगा और होंट और ज़बान चूसना रोज़ा में मुतलक़न मकरूह है, यूँही मुबाशरते फ़ाहिशा (ज़कर के शर्मगाह से छू जाने को मुबाशरते फ़ाहिशा कहते हैं)
मसअला :– गुलाब या मुश्क वग़ैरा, सूँघना दाढ़ी मूँछ में तेल लगाना और सुर्मा लगाना मकरूह नहीं मगर जबकि ज़ीनत के लिए सुर्मा लगाया या इस लिए तेल लगाया कि दाढ़ी बढ़ जाये हालाँकि एक मुश्त दाढ़ी है तो ये दोनों बातें बग़ैर रोज़े के भी मकरूह हैं और रोज़ा में और ज़्यादा मकरूह।(दुर्रे मुख़्तार)
मसअला :– रोज़े में मिस्वाक करना मकरूह नहीं बल्कि जैसे और दिनों में सुन्नत है रोज़े में भी मसनून है मिस्वाक ख़ुश्क हो या तर अगर्चे पानी से तर हो ज़वाल से पहले करे या बाद किसी वक़्त मकरूह नहीं (आम्मए कुतुब)अक्सर लोगों में मशहूर है कि दोपहर बअ़द रोज़ादार के लिए मिस्वाक करना मकरूह है यह हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है।
मसअला :– फ़स्द ख़ुलवाना,पछने लगवाना मकरूह नहीं जबकि कमज़ोरी का अन्देशा न हो और अन्देशा हो तो मकरूह है उसे चाहिए कि ग़ुरूब तक रुका रहे। (आलमगीरी)
मसअला :– रोज़ादार के लिए कुल्ली करने और नाक में पानी चढ़ाने में मुबालग़ा करना मकरूह है कुल्ली में मुबालग़ा करने के यह मअ़ना हैं कि भर मुँह पानी ले और वुज़ू व ग़ुस्ल के अ़लावा ठंड पहुँचाने की ग़रज़ से कुल्ली करना या नाक में पानी चढ़ाना या ठंड के लिए नहाना बल्कि बदन पर भीगा कपड़ा लपेटना मकरूह नहीं,हाँ अगर परेशानी ज़ाहिर करने के लिए भीगा कपड़ा लपेटा तो

मकरूह है कि इबादत में दिल तंग होना अच्छी बात नहीं। (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार वग़ैरहुमा)

मसअला :— पानी के अन्दर रियाह (हवा)ख़ारिज करने से रोज़ा नहीं जाता मगर मकरूह है और रोज़ादार को इस्तिन्जा में मुबालग़ा करना भी मकरूह है। (आलमगीरी)यअ्नी और दिनों में हुक्म यह है कि इस्तिन्जा करने में नीचे को ज़ोर दिया जाये और रोज़े में यह मकरूह है। (आलमगीरी)

मसअला :— रमज़ान के दिनों में ऐसा काम करना जाइज़ नहीं जिससे ऐसी कमज़ोरी आ जाये कि रोज़ा तोड़ने का ज़न (गुमान)ग़ालिब हो लिहाज़ा नानबाई को चाहिए कि दोपहर तक रोटी पकाए फिर बाक़ी दिन में आराम कर ले। (दुर्रे मुख़्तार)यही हुक्म राज,मज़दूर और मशक़्क़त के काम करने वालों का है कि ज़्यादा कमज़ोरी का अन्देशा हो तो काम में कमी कर दें कि रोज़े अदा कर सकें।

मसअला :— अगर रोज़ा रखेगा तो कमज़ोर हो जायेगा खड़े होकर नमाज़ न पढ़ सकेगा तो हुक्म है कि रोज़ा रखे और बैठ कर नमाज़ पढ़े (दुर्रेमुख़्तार)जबकि खड़ा होने से उतना ही आजिज़ हो जो मरीज़ के बयान में गुज़रा।

मसअला :— सहरी का खाना और उसमें ताख़ीर (देर)करना मुसतहब है मगर इतनी ताख़ीर मकरूह है कि सुबहे सादिक़ होने का शक हो जाये। (आलमगीरी)

मसअला :— इफ़्तार में जल्दी करना मुसतहब है मगर इफ़्तार उस वक़्त करे कि ग़ुरूब का ग़ालिब गुमान हो जब तक गुमान ग़ालिब न हो इफ़्तार न करे अगर्चे मुअज़्ज़िन ने अज़ान कह दी है और अब्र के दिनों में इफ़्तार में जल्दी न चाहिए। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :— एक आदिल के क़ौल पर इफ़्तार कर सकता है जबकि उसकी बात सच्ची मानता हो और अगर उसकी तस्दीक़ न करे तो उसके क़ौल की बिना पर इफ़्तार न करे यूँ ही मस्तूर (जिसके बारे में ठीक मअ्लूम न हो कि शरीअ़त पर अ़मल करता है या नहीं मगर ज़ाहिर में बा–शरा हो)के कहने पर भी इफ़्तार न करे और आजकल अकसर इस्लामी मक़ामात में इफ़्तार के वक़्त तोप चलने का रिवाज़ है उस पर इफ़्तार कर सकता है अगर्चे तोप चलाने वाले फ़ासिक़ हों जबकि किसी आलिमे मुहक़्क़िक़ वक़्तों के जानने वाले, दीन में एहतियात करने वाले के हुक्म पर चलती हो। आज कल के आम उ़लमा भी इस फ़न को बिल्कुल नहीं जानते हैं और जो जन्तरियाँ शाए होती हैं अक्सर ग़लत होती हैं उन पर अ़मल जाइज़ नहीं। यूँही सहरी के वक़्त अकसर जगह नक़्क़ारा बजता है इन्हीं शराइत के साथ इसका भी एअ्तिबार है अगर्चे बजाने वाले कैसे ही हों।

मसअला :— सहरी के वक़्त मुर्ग़ की अज़ान का एअ्तिबार नहीं कि अकसर देखा गया है कि सुबह से बहुत पहले अज़ान शुरूअ् कर देते हैं। बल्कि जाड़े के दिनों में तो बाज़ मुर्ग़ दो बजे से अज़ान कहना शुरूअ् कर देते हैं हालाँकि उस वक़्त सुबहे सादिक़ होने में बहुत वक़्त बाक़ी रहता है। यूँही बोल चाल सुनकर और रौशनी देखकर बोलने लगते हैं। (रद्दुल मुहतार ज़्यादती के साथ)

मसअला :— सुबहे सादिक़ को रात का मुतलक़न छटा या सातवाँ हिस्सा समझना ग़लत है, रहा यह कि सुबहे सादिक़ किस वक़्त होती है इसे हम तीसरे हिस्से नमाज़ के वक़्तों के बयान में बयान कर आये वहाँ से मअ्लूम करें।

सहरी व इफ़्तारी का बयान

हदीस न.1 :– बुख़ारी व मुस्लिम व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा अनस रदियल्लल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया सहरी खाओ कि सहरी खाने में बरकत है।

हदीस न. 2 :– मुस्लिम व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने ख़ुज़ैमा अम्र इब्ने आस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हमारे और अहले किताब के रोज़ों में फ़र्क़ सहरी का लुक़मा है।

हदीस न.3 :– तबरानी ने कबीर में सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तीन चीज़ों में बरकत है जमाअत और सरीद(एक –तरह का खाना)और सहरी में।

हदीस न.4 :– तबरानी औसत में और इब्ने हब्बान सही में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते सहरी खाने वालों पर दुरूद भेजते हैं।

हदीस न.5 :– इब्ने माजा व इब्ने ख़ुज़ैमा व बैहक़ी इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया सहरी खाने से दिन के रोज़े पर इस्तिआनत करो (मदद चाहो)और क़ैलूला (दोपहर में खाने के बाद थोड़ी देर लेटने को क़ैलूला कहते हैं और यह सुन्नत है)से रात के क़ियाम पर।

हदीस न.6 :– नसई एक सहाबी से रावी कहते हैं मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और हुज़ूर सहरी तनावुल फ़रमा रहे थे इरशाद फ़रमाया यह बरकत है कि अल्लाह तआला ने तुम्हें दी तो इसे न छोड़ना।

हदीस न.7 :– तबरानी कबीर में अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तीन शख़्सों पर खाने में इन्शा अल्लाह तआला हिसाब नहीं जबकि हलाल खाया,रोज़ादार और सहरी खाने वाला और सरहद पर घोड़ा बाँधने वाला।

हदीस न.8से 10 :– इमाम अहमद अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया सहरी कुल की कुल बरकत है इसे न छोड़ना अगर्चे एक घूँट पानी ही पी ले क्यूँकि सहरी खाने वालों पर अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दूरूद भेजते हैं नीज़ अब्दुल्लाह इब्ने उमर व साइब इब्ने यज़ीद व अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हुम से भी इसी क़िस्म की रिवायतें आयीं।

हदीस न.11 :– बुख़ारी व मुस्लिम व तिर्मिज़ी सहल इब्ने सअद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं हमेशा लोग ख़ैर के साथ रहेंगे जब तक इफ़्तार में जल्दी करेंगे।

हदीस न.12 :– इब्ने हब्बान सहीह में उन्हीं से रावी कि फ़रमाया उम्मत मेरी सुन्नत पर रहेगी जब तक इफ़्तार में सितारों का इन्तिज़ार न करे।

हदीस न.13 :– अहमद व तिर्मिज़ी व इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हब्बान अबू हुरैरा रदियल्ललाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया मेरे बन्दों में मुझे ज़्यादा प्यारा वह है जो इफ़्तार में जल्दी करता है।

हदीस न.14 :– तबरानी औसत में यअ्ला इब्ने मुर्रह रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाया तीन चीज़ों को अल्लाह महबूब रखता है इफ़्तार में जल्दी करना और सहरी में ताख़ीर (देरी)और नमाज़ में हाथ पर हाथ रखना।

हदीस न.15: – अबू दाऊद व इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हब्बान अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं यह दीन हमेशा ग़ालिब रहेगा जब तक लोग इफ़्तार में जल्दी करते रहेंगे और यहूद व नसारा(ईसाई)ताख़ीर करते हैं।

हदीस न.16 :– इमाम अहमद व अबू दाऊद और तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व दारमी सलमान इब्ने आमिर ज़बी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जब तुम में कोई, रोज़ा इफ़्तार करे तो खजूर या छुआरे से इफ़्तार करे कि वह बरकत है और अगर न मिले तो पानी से कि वह पाक करने वाला है।

हदीस न. 17 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़र सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज़ से पहले तर खजूरों से रोज़ा इफ़्तार फ़रमाते तर खजूरें न होतीं तो चन्द खुश्क ख़जूरों से और यह भी न होतीं तो चन्द चुल्लू पानी पीते अबू दाऊद ने रिवायत की कि हुज़ूर इफ़्तार के वक़्त यह दुआ पढ़ते। اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

हदीस न.18 :– नसई व इब्ने खुज़ैमा ज़ैद इब्ने ख़ालिद जुहनी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाया जो रोज़ादार का रोज़ा इफ़्तार कराये या ग़ाज़ी का सामान करदे तो उसे भी उतना ही मिलेगा

हदीस न.19 :– तबरानी कबीर में सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जिसने हलाल खाने या पानी से रोज़ा इफ़्तार कराया फ़रिश्ते माहे रमज़ान के औक़ात में उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं और जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम शबे क़द्र में उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं और एक रिवायत में है जो हलाल कमाई से रमज़ान में रोज़ा इफ़्तार करायेगा रमज़ान की तमाम रातों में फ़रिश्ते उस पर दुरूद भेजते हैं और शबे क़द्र में जिब्रील उससे मुसाफ़ा करते हैं और एक रिवायत में है जो रोज़ादार को पानी पिलायेगा अल्लाह तआला उसे मेरे हौज़ से पिलायेगा कि जन्नत में दाख़िल होने तक प्यासा न होगा।

बयान उन वजहों का जिनसे रोज़ा न रखने की इजाज़त है

हदीस न.1 :– सहीहैन में उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी कहती हैं हमज़ा इब्ने अम्र असलमी बहुत रोज़े रखा करते थे, उन्होंने नबीये करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दरयाफ़्त किया कि सफ़र में रोज़ा रखूँ । इरशाद फ़रमाया चाहे रखो और चाहे न रखो।

हदीस न.2 :– सही मुस्लिम में अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं सोलहवें रमज़ान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ हम जिहाद में गये हम में

बाज़ ने रोज़ा रखा और बाज़ ने न रखा तो न रोज़ादारों ने ग़ैर रोज़ादारों पर ऐब लगाया और न इन्होंने उन पर।

हदीस न.3 :— अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा अनस इब्ने मालिक कअ़बी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने मुसाफ़िर से आधी नमाज़ मुआ़फ़ फ़रमा दी(यअ़नी चार रकअ़ात वाली दो पढ़े)और मुसाफ़िर और दूध पिलाने वाली और हामिला से रोज़ा माफ़ फ़रमा दिया(कि इनको इजाज़त है कि उस वक़्त न रखें बाद में वह मिक़दार पूरी कर लें।)

मसअ्ला :— सफ़र व हमल और बच्चे को दूध पिलाना और मरज़ और बुढ़ापा और ख़ौफ़े हलाक व इकराह व नुक़्साने अ़क़्ल और जिहाद सब रोज़ा न रखने के लिए उ़ज़्र हैं इन वजहों से अगर कोई रोज़ा न रखे तो गुनाहगार नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— सफ़र से मुराद सफ़रे शरई है यअ़्नी इतनी दूर जाने के इरादे से निकले कि यहाँ से वहाँ तक तीन दिन की मसाफ़त(दूरी)हो अगर्चे वह सफ़र किसी नाजाइज़ काम के लिए हो।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— दिन में सफ़र, किया तो उस दिन का रोज़ा इफ़्तार करने (तोड़ने)के लिए आज का सफ़र उ़ज़्र नहीं अलबत्ता अगर तोड़ेगा तो कफ़्फ़ारा लाज़िम न आयेगा मगर गुनाहगार होगा और अगर सफ़र करने से पहले तोड़ दिया फिर सफ़र किया तो कफ़्फ़ारा भी लाज़िम और अगर दिन में सफ़र किया और मकान पर कोई चीज़ भूल गया था उसे लेने वापस आया और मकान पर आकर रोज़ा तोड़ डाला तो कफ़्फ़ारा वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :— मुसाफ़िर ने ज़हवए कुबरा से पहले इक़ामत की और अभी कुछ खाना नहीं तो रोज़े की नियत कर लेना वाज़िब है। (जौहरा)

मसअ्ला :— हमल वाली और दूध पिलाने वाली को अगर अपनी जान या अपने बच्चे का सही अन्देशा है यअ़्नी बच्चे को खिलाने–पिलाने के लिए कोई चीज़ है नहीं और यही दूध पिलाती है तो अगर दूध न पिलायेगी तो बच्चे की जान को ख़तरा है तो इजाज़त है कि उस वक़्त रोज़ा न रखे ख़्वाह दूध पिलाने वाली बच्चे की माँ हो या दाई अगर्चे रमज़ान में दूध पिलाने की नौकरी की हो।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— मरीज़ को मरज़ बढ़ जाने या देर में अच्छा होने या तन्दरुस्त को बीमार हो जाने का गुमान ग़ालिब हो या ख़ादिम व ख़ादिमा को ना–क़ाबिले बर्दाश्त कमज़ोरी का ग़ालिब गुमान हो तो उन सब को इजाज़त है कि उस दिन रोज़ा न रखें। (जौहरा, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— इन सूरतों में ग़ालिब गुमान की क़ैद है महज़ वहम ना–काफ़ी है। ग़ालिब गुमान की तीन सूरतें हैं उसकी ज़ाहिर निशानियाँ पाई जाती हैं उस शख़्स का ज़ाती तजर्बा है या किसी मुसलमान तबीबे हाज़िक़ मस्तूर यानी ग़ैरे फ़ासिक़ ने उसकी ख़बर दी हो और अगर न कोई अ़लामत हो न तजर्बा न उस क़िस्म के तबीब ने उसे बताया बल्कि किसी काफ़िर या फ़ासिक़ तबीब के कहने से इफ़्तार कर लिया तो इस ज़माने में हाज़िक़ तबीब नायाब से हो रहे हैं उन लोगों का कहना कुछ क़ाबिले एअ़्तिबार नहीं। न उनके कहने पर रोज़ा इफ़्तार किया जाये। उन तबीबों को देखा जाता है कि ज़रा–ज़रा सी बीमारी में रोज़ा मना कर देते हैं इतनी भी तमीज़ नहीं रखते कि किस मरज़ में रोज़ा मुज़िर(नुक़सान देने वाला)है और किस में नहीं।

मसअ्ला :— बाँदी को अपने मालिक की इताअ़त में फ़राइज़ का मौक़ा न मिले तो यह कोई उ़ज़्र

नहीं, फ़राइज़ अदा करे और इतनी देर के लिए उस पर इताअत नहीं मसलन नमाज़ का वक़्त तंग हो जायेगा तो काम छोड़ दे और फ़र्ज़ अदा करे और अगर इताअत की और रोज़ा तोड़ दिया तो कफ़्फ़ारा दे। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– औरत को जब हैज़ व निफ़ास आ गया तो रोज़ा जाता रहा। हैज़ से पूरे दस दिन दस रात में पाक हुई तो बहरहाल आने वाले कल का रोज़ा रखे और कम में पाक हुई तो अगर सुबहे सादिक़ होने को इतना अरसा है कि नहा कर ख़फ़ीफ़ (थोड़ा)सा वक़्त बचेगा तो भी रोज़ा रखे और अगर नहा कर फ़ारिग़ होने के वक़्त सुबहे सादिक़ चमकी तो रोज़ा नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– हैज़ व निफ़ास वाली के लिए इख़्तियार है कि छुप कर खाये या ज़ाहिर में, रोज़ा की तरह रहना उस पर ज़रूरी नहीं। (जौहरा)मगर छुप कर खाना औला (ज़्यादा अच्छा)है ख़ुसूसन हैज़ वाली के लिए।

मसअला :– भूक और प्यास ऐसी हो कि हलाक का सही ख़ौफ़ या अक़्ल जाती रहने का अन्देशा हो तो रोज़ा न रखे। (आलमगीरी)

मसअला :– रोज़ा तोड़ने पर मजबूर किया गया तो उसे इख़्तियार है और सब्र किया तो उसे अज्र मिलेगा। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– साँप ने काटा और जान का अन्देशा हो तो इस सूरत में रोज़ा तोड़ दे। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जिन लोगों ने इन उज़्रों के सबब रोज़ा तोड़ा उन पर फ़र्ज़ है कि उन रोज़ों की क़ज़ा रखें और उन क़ज़ा रोज़ों में तरतीब फ़र्ज़ नहीं। लिहाज़ा अगर उन रोज़ों के पहले नफ़्ल रोज़े रखे तो यह नफ़्ल रोज़े हो गये मगर हुक्म यह है कि उज़्र जाने के बाद दूसरे रमज़ान के आने से पहले क़ज़ा रख लें हदीस में फ़रमाया जिस पर अगले रमज़ान की क़ज़ा बाक़ी है और वह न रखे उसके इस रमज़ान के रोज़े क़बूल न होंगे और अगर रोज़े न रखे और दूसरा रमज़ान आगया तो अब पहले इस रमज़ान के रोज़े रख ले क़ज़ा न रखे बल्कि अगर ग़ैरे मरीज़ व मुसाफ़िर ने क़ज़ा की नियत की जब भी क़ज़ा नहीं बल्कि इसी रमज़ान के रोज़े हैं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– ख़ुद उस मुसाफ़िर को और उसके साथ वाले को रोज़ा रखने में नुक़सान न पहुँचे तो रोज़ा रखना सफ़र में बेहतर है वरना न रखना बेहतर। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर यह लोग अपने उसी उज़्र में मर गये इतना मौक़ा न मिला कि क़ज़ा रखते तो इन पर यह वाजिब नहीं कि फ़िदये की वसियत कर जायें फिर भी वसियत की तो तिहाई माल में जारी होगी और अगर इतना मौक़ा मिला कि क़ज़ा रोज़े रख लेते मगर न रखे तो वसियत कर जाना वाजिब है और जानबूझ कर न रखे हों तो वसियत करना और सख़्त वाजिब है और वसियत न की बलिक वली ने अपनी तरफ़ से दे दिया तो भी जाइज़ है मगर वली पर देना वाजिब न था।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– हर रोज़े का फ़िदया शख़्स के सदक़ए फ़ित्र के बराबर है यानी 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ या 4 किलो 90 ग्राम जौ या इनकी क़ीमत और तिहाई माल में वसियत उस वक़्त जारी होगी जब उस मय्यत के वारिस भी हों और अगर वारिस न हों और सारे माल से फ़िदया अदा होता हो तो सब फ़िदये में सर्फ़ (ख़र्च)कर देना लाज़िम है। यूँही अगर वारिस सिर्फ़ शौहर या ज़ौजा (बीवी)है तो तिहाई निकालने के बाद उन का हक़ दिया जाये उसके बाद जो कुछ बचे अगर फ़िदये में सर्फ़ हो सकता है तो सर्फ़ कर दिया जायेगा। वसियत करना सिर्फ़ उतने ही रोज़ों के हक़ में वाजिब है जिन रोज़ों के रखने पर क़ादिर हुआ था मसलन दस क़ज़ा हुए थे और उज़्र जाने के बअ्द पाँच पर

क़ादिर हुआ था कि इन्तिक़ाल हो गया तो पाँच ही की वसियत है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– एक शख़्स की तरफ़ से दूसरा शख़्स रोज़ा नहीं रख सकता। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– एअ्तिकाफ़े वाजिब और सदक़ए फ़ित्र का बदला अगर वुरसा अदा कर दें तो जाइज़ है और उनकी मिक़दार वही ब–क़द्रे सदक़ए फ़ित्र है और ज़कात देना चाहें तो जितनी वाजिब थी उस क़द्र निकालें। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– शैख़े फ़ानी यअ्नी वह बूढ़ा जिसकी उम्र ऐसी हो गयी कि अब रोज़–ब–रोज़ कमज़ोर होता जायेगा जब वह रोज़ा रखने से आजिज़ हो यअ्नी न अब रख सकता है न आइन्दा उसमें इतनी ताक़त आने की उम्मीद है कि रोज़ा रख सकेगा उसे रोज़ा न रखने की इजाज़त है और हर रोज़े के बदले में फ़िदया यअ्नी दोनों वक़्त एक मिस्कीन को भर पेट खाना खिलाना उस पर वाजिब है या हर रोज़े के बदले में सदक़ए फ़ित्र की मिक़दार मिस्कीन को देदे (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– अगर ऐसा बूढ़ा गर्मियों में गर्मी की वजह से रोज़े नहीं रख सकता मगर जाड़ों में रख सकेगा तो अब इफ़्तार कर ले और इनके बदले में जाड़ों में रखना फ़र्ज़ है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर फ़िदया देने के बअ्द इतनी ताक़त आ गई कि रोज़ा रख सके तो फ़िदया सदक़ए नफ़्ल होकर रह गया उन रोज़ों की क़ज़ा रखे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– यह इख़्तियार है कि रमज़ान ही मे पूरे रमज़ान का एक दम फ़िदया दे दे या आख़िर में दे और इसमें तमलीक शर्त नहीं। (यअ्नी मिस्कीन को मालिक बनाना शर्त नहीं) बल्कि इबाहत भी काफ़ी है मसलन खाना मिस्कीन को अपने घर बुला कर खिला दिया और यह भी ज़रूर नहीं कि जितने फ़िदये हों उतने ही मिस्कीनों को दे बल्कि एक मिस्कीन को कई दिन के फ़िदये दे सकते हैं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़सम या क़त्ल के कफ़्फ़ारे का इस पर रोज़ा है और बुढ़ापे की वजह से रोज़ा नहीं रख सकता तो उस रोज़े का फ़िदया नहीं और रोज़ा तोड़ने या जिहार का कफ़्फ़ारा इस पर है तो अगर रोज़ा न रख सके साठ मिसकीनों को खाना खिला दे। (आलमगीरी)

नोट :– ज़िहार का बयान बहारे शरीअ़त के आठवें हिस्से में देखें या किसी सुन्नी सहीहुल अक़ीदा आलिम से समझ लें तब यह मसअ्ला समझ में आयेगा।

मसअ्ला :– किसी ने हमेशा रोज़ा रखने की मन्नत मानी और बराबर रोज़े रखे तो कोई काम नहीं कर सकता जिससे गुज़र–बसर हो तो उसे ब–क़द्रे ज़रूरत इफ़्तार की इजाज़त है और हर रोज़े के बदले में फ़िदया और इसकी भी क़ुव्वत न हो तो इस्तिग़फ़ार करे। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– नफ़्ल रोज़ा क़स्दन शुरूअ् करने से लाज़िम हो जाता है कि तोड़ेगा तो क़ज़ा वाजिब होगी और यह गुमान कर के कि उसके ज़िम्मे कोई रोजा है शुरूअ् किया बअ्द को मअ्लूम हुआ कि नहीं है अब अगर फ़ौरन तोड़ दिया तो कुछ नहीं और यह मअ्लूम करने के बअ्द न तोड़ा तो अब नहीं तोड़ सकता तोड़ेगा तो क़ज़ा वाजिब होगी। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– नफ़्ल रोज़ा क़स्दन नहीं तोड़ा बल्कि बिला इख़्तियार टूट गया मसलन रोज़े के दरमियान में हैज़ आ गया जब भी क़ज़ा वाज़िब है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ईदैन या अय्यामे तशरीक़(बक़रईद और उसके बाद के तीन दिन को अय्यामे तशरीक़ कहते हैं) में रोज़ा नफ़्ल रखा तो उस रोज़े का पूरा करना वाजिब नहीं न उसके तोड़ने से क़ज़ा वाजिब बल्कि इस रोज़े का तोड़ देना वाजिब है और अगर इन दिनों में रोज़ा रखने की मन्नत मानी

तो मन्नत पूरी करनी वाजिब है मगर इन दिनों में नहीं बल्कि और दिनों में। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :— नफ़्ल रोज़ा बिला उज़्र तोड़ देना नाजाइज़ है मेहमान के साथ अगर मेज़बान न खायेगा तो उसे नागवार होगा या मेहमान अगर खाना न खाये तो मेज़बान को तकलीफ़ होगी तो नफ़्ल रोज़ा तोड़ देने के लिए यह उज़्र है बशर्ते कि यह भरोसा हो कि उस की कज़ा रख लेगा बशर्त कि ज़हवए कुबरा से पहले तोड़े बअ्द को नहीं ज़वाल के बअ्द माँ बाप की नाराज़ी के सबब तोड़ सकता है और इस में भी अस्र के पहले तक तोड़ सकता है अस्र के बअ्द नहीं (आलमगीरी)

मसअला :— किसी ने यह कसम खाई कि अगर तू रोज़ा न तोड़े तो मेरी औरत को तलाक़ है तो इसे चाहिए कि उसकी कसम सच्ची कर दे यअ्नी रोज़ा तोड़ दे अगर्चे रोज़ा क़ज़ा का हो अगर्चे ज़वाल के बाद हो (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :— उसके किसी भाई ने दअ्वत की तो ज़हवए कुबरा से पहले नफ़्ल रोज़ा तोड़ देने की इजाज़त है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :— औरत बग़ैर शौहर की इजाज़त के नफ़्ल और मन्नत व क़सम के रोज़े न रखे और रख ले तो शौहर तुड़वा सकता है मगर तोड़ेगी तो क़ज़ा वाजिब होगी मगर उसकी क़ज़ा में भी शौहर की इजाज़त दरकार है या शौहर और उसके दरमियान जुदाई हो जाये यअ्नी तलाक़े बाइन दे दे या मर जाये। हाँ अगर रोज़ा रखने में शौहर का कुछ हरज न हो मसलन वह सफ़र में है या बीमार है या एहराम में है तो इन हालतों में बग़ैर इजाज़त के भी क़ज़ा रख सकती है बल्कि अगर वह मना करे जब भी और इन दिनों में भी बे उसकी इजाज़त के नफ़्ल नहीं रख सकती। रमज़ान औरक़ज़ाए रमज़ान के लिए शौहर की इजाज़त की कुछ ज़रूरत नहीं बल्कि उसकी मनाही पर भी रखे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :— बांदी, ग़ुलाम भी अलावा फ़राइज़ के मालिक की इजाज़त के बग़ैर नहीं रख सकते उनका मालिक चाहे तो तुड़वा सकता है फिर उसकी क़ज़ा मालिक की इजाज़त पर या आज़ाद होने के बाद रखे अलबत्ता ग़ुलाम ने अगर अपनी औरत से ज़िहार किया तो कफ़्फ़ारे के रोज़े बग़ैर मौला की इजाज़त के रख सकता है। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :— मज़दूर या नौकर अगर नफ़्ल रोज़ा रखे तो काम पूरा नहीं कर सकेगा तो मुस्ताजिर (यअ्नी जिसका नौकर है या जिसने मज़दूरी पर उसे रखा है)की इजाज़त की ज़रूरत है और काम पूरा कर सके तो कुछ ज़रूरत नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :— लड़की को बाप और माँ को बेटे और बहन को भाई से इजाज़त लेने की कुछ ज़रूरत नहीं और माँ–बाप अगर बेटे को नफ़्ल रोज़े से मना कर दें इस वजह से कि मरज़ का अन्देशा है तो माँ–बाप की इताअत करे। (रद्दुल मुहतार)

रोज़ए नफ़्ल के फ़ज़ाइल

(1)आशूरा यअ्नी दसवीं मुहर्रम का रोज़ा और बेहतर यह है कि नवीं को भी रखे।

हदीस न.1 :— सहीहैन में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आशूरा का रोज़ा ख़ुद रखा और उसके रखने का हुक्म फ़रमाया।

हदीस न.2 :— मुस्लिम व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्ललाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं रमज़ान के बाद अफ़ज़ल रोज़ा मुहर्रम का रोज़ा है और फ़र्ज़ के बाद अफ़ज़ल नमाज़ सलातुल्लैल यअ्नी तहज्जुद की नमाज़ है।

हदीस न.3 :– सहीहैन में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा स मरवी फरमाते हैं मैंने नबी सल्ललाहु तआला अलैहि वसल्लम को किसी दिन के रोज़े को औरों पर फ़ज़ीलत देकर जुस्तजू फ़रमाते न देखा मगर यह कि आशूरा का दिन और यह कि रमज़ान का महीना।

हदीस न.4 :– सहीहैन में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी रसूलुल्लाह सल्ललाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीने में तशरीफ़ लाये यहूद को आशूरा के दिन रोज़ादार पाया इरशाद फ़रमाया यह क्या दिन है कि तुम रोज़ा रखते हो। अर्ज़ की यह अज़मत वाला दिन है कि इसमें मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह तआला ने निजात दी और फ़िरऔन और उसकी कौम को डुबो दिया लिहाज़ा मूसा अलैहिस्सलाम ने ब–तौरे शुक्र इस दिन का रोज़ा रखा तो हम भी रोज़ा रखते हैं, इरशाद फरमाया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुवाफ़कत करने में ब–निस्बत तुम्हारे हम ज़्यादा हकदार और ज़्यादा करीब हैं तो हुज़ूर सल्ललाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद भी रोज़ा रखा और इसका हुक्म भी फरमाया।

नोट :– इस हदीस से मअलूम हुआ कि जिस रोज़ अल्लाह तआला कोई ख़ास नेमत अता फरमाये उसकी यादगार काइम करना दुरुस्त व महबूब है कि वह नेमते ख़ास्सा याद आयेगी और उसका शुक्र अदा करने का सबब होगा। खुद कुर्आने पाक ने इरशाद फ़रमाया कि "खुदा के इनाम के दिनों को याद करो"और हम मुसलमानों के लिए विलादते अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बेहतर कौन सा दिन होगा जिसकी यादगार काइम करें कि तमाम नेमतें उन्हीं के तुफ़ैल में हैं और यह दिन ईद से भी बेहतर कि उन्हीं के सदके में तो ईद ईद हुई। इसी वजह से पीर के दिन का रोज़ा रखने का सबब इरशाद फरमाया कि इस दिन मेरी विलादत हुई।

हदीस न.5 :– सही मुस्लिम में अबू कतादा रदियल्ललाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्ललाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे अल्लाह पर गुमान है कि आशूरा का रोज़ा एक साल कब्ल के गुनाह मिटा देता है।

2.अरफ़ा यानी नवीं ज़िलहिज्जा का रोज़ा।

हदीस न.6 से10 :– मुस्लिम व सुनने अबी दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा में अबू कतादा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्ललाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे अल्लाह पर गुमान है कि अरफ़ा का रोज़ा एक साल कब्ल और एक साल बाद के गुनाह मिटा देता है और इसी के मिस्ल सहल इब्ने सअद व अबू सईद खुदरी व अब्दुल्लाह इब्ने उमर व ज़ैद इब्ने अरकम रदियल्लाहु तआला अन्हुम से मरवी।

नोट :– अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के गुमान भी यकीन के दर्जे में होते हैं।

हदीस न.11 :– उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा से बैहकी व तबरानी रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरफ़े के रोज़े को हज़ार दिन के बराबर बताते मगर हज करने वाले पर जो अरफ़ात में है उसे अरफ़े के दिन का रोज़ा मकरूह है कि अबू दाऊद व नसई व इब्ने खुज़ैमा अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अरफ़े के दिन अरफ़ात में रोज़ा रखने से मना फरमाया।

(3) शव्वाल में 6 दिन के रोज़े जिन्हें लोग शशईद के रोज़े कहते हैं।

हदीस न.12 व 13 :– मुस्लिम व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा व तबरानी अबू अय्यूब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जिसने रमज़ान के रोज़े रखे फिर उनके बाद छः दिन शव्वाल में रखे तो ऐसा है जैसे दहर यअ्नी साल भर का रोज़ा रखा और इसी के मिस्ल अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी।

हदीस न.14व15 :– नसई व इब्ने माजा व इब्ने ख़ुज़ैमा व इब्ने हब्बान सौबान रदियल्लाहु तआला अन्हु से और इमाम अहमद व तबरानी व बज़्ज़ार जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसने ईदुल फ़ित्र के बाद छः रोज़े रख लिए तो उसने पूरे साल का रोज़ा रखा कि जो एक नेकी लायेगा उसे दस मिलेंगी तो माहे रमज़ान का रोज़ा दस महीने के बराबर है और इन छः दिनों के बदले में दो महीने तो पूरे साल के रोज़े हो गये।

हदीस न.16 :– तबरानी औसत में अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जिसने रमज़ान के रोज़े रखे फिर उसके बअ्द छः दिन शव्वाल में रखे तो गुनाहों से ऐसे निकल गया जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ है।

नोट :– बेहतर यह है कि यह रोज़े मुतफ़र्रिक़ (अलग–अलग)रखे जायें और अगर एक साथ भी रख ले तो कोई हरज नहीं।

(4)शअ्बान का रोज़ा और पन्द्रहवीं शाबान के फ़ज़ाइल।

हदीस न.17 :– तबरानी व इब्ने हब्बान मआ़ज़ इब्ने जबल रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं शअ्बान की पन्द्रहवीं शब में अल्लाह तआला तमाम मख़लूक़ की तरफ़ तजल्ली फ़रमाता है और सब को बख़्श देता है मगर काफ़िर और अदावत वाले को।

नोट :– जिन दो शख़्सो में कोई दुनयवी अदावत हो तो उस रात के आने से पहले उन्हें चाहिए कि हर एक दूसरे से मिल जाये और हर एक दूसरे की ख़ता मुआफ़ कर दे ताकि मग़फ़िरते इलाही उन्हें भी शामिल हो। इन्हीं अहादीस की बिना पर बिहम्दिल्लाह तआला यहाँ बरेली शरीफ़ में हुज़ूर आलाहज़रत क़िब्ला (रदियल्लाहु तआला अन्हु)ने यह तरीक़ा मुक़र्रर फ़रमाया है कि चौदह शअ्बान को रात आने से पहले मुसलमान आपस में मिलते और एक दूसरे से अपनी ख़तायें मुआफ़ कराते हैं,और जगह के मुसलमान भी ऐसा ही करें तो बहुत बेहतर होगा।

हदीस न.18 व 19 :– बैहक़ी ने उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मेरे पास जिब्रील आये और कहा यह शअ्बान की पन्द्रहवीं रात है इसमें अल्लाह तआला जहन्नम से इतनों को आज़ाद फ़रमा देता है जितने बनी कल्ब (अरब में बनी कल्ब एक क़बीला है जिनके यहाँ बकरियाँ बहुत होती थीं) की बकरियों के बाल हैं मगर काफ़िर व अदावत वाले और रिश्ता काटने वाले और कपड़ा लटकाने वाले और वालिदैन की नाफ़रमानी करने वाले और हमेशा शराब पीने वाले की तरफ़ नज़रे रहमत नहीं फ़रमाता इमाम अहमद ने इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से जो रिवायत की उस में क़ातिल का भी ज़िक्र है।

हदीस न.20 :– बैहक़ी ने उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि

हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तआला शअ्बान की पन्द्रहवीं शब में तजल्ली फ़रमाता है इस्तिग़फ़ार करने वालों को बख़्श देता है और तालिबे रहमत पर रहम फ़रमाता है और अ़दावत वालों को जिस हाल पर हैं उसी पर छोड़ देता है।

हदीस न.21 :– इब्ने माजा मौला अ़ली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी नबी सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं, जब शअ्बान की पन्द्रहवीं रात आ जाये तो उस रात को क़ियाम करो और दिन में रोज़ा रखो कि रब तबारक व तआला ग़ुरूबे आफ़ताब से आसमाने दुनिया पर ख़ास तजल्ली फ़रमाता है कि है कोई बख़्शिश चाहने वाला कि उसे बख़्स दूँ, है कोई रोज़ी तलब करने वाला कि उसे रोज़ी दूँ है कोई मुबतला कि उसे आफ़ियत दूँ है कोई ऐसा है कोई ऐसा और यह उस वक़्त तक फ़रमाता है कि फ़ज्र यअ्नी सुबहे सादिक़ तुलू हो जाये।

हदीस न. 22 :उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं कि मैंने हुज़ूरे अक़दस सल्ललाहु तआला अ़लैहि वसल्लम को शअ्बान से ज़्यादा किसी महीने में रोज़ा रखते नहीं देखा।

(5)हर महीने में तीन रोज़े ख़ुसूसन अय्यामे बीज़ यानी 13,14,15 तारीख़ को।

हदीस न.23 व 24 :– बुख़ारी व मुस्लिम व नसई अबू हुरैरा और मुस्लिम अबू दरदा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने मुझे तीन बातों की वसियत फ़रमाई उनमें एक यह है कि हर महीने में तीन रोज़े रखूँ।

हदीस न.25 व 26 :– सही बुख़ारी व मुस्लिम में अ़ब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी रसूलुल्लाह ने फ़रमाया हर महीने में तीन दिन के रोज़े ऐसे हैं जैसे दहर (हमेशा)का रोज़ा इसी के मिस्ल क़ुर्रह इब्ने अयास रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी।

हदीस न.27व 28 :– इमाम अहमद व इब्ने हब्बान इब्ने अ़ब्बास और बज़्ज़ाज़ मौला अ़ली रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं रमज़ान के रोज़े और हर महीने में तीन दिन के रोज़े सीने की ख़राबी को दूर करते हैं।

हदीस न.29 :– तबरानी मैमूना बिन्ते सअ्द रदियल्लाहु तआला अन्हा से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जिससे हो सके हर महीने में तीन रोज़े रखे कि हर रोज़ा दस गुनाह मिटाता है और गुनाह से ऐसा पाक कर देता है जैसा पानी कपड़े को।

हदीस न. 30 :– इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा अबू ज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्ललाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब महीने में तीन रोज़े रखने हों तो तेरह, चौदह, पन्द्रह को रखो।

हदीस न. 31 :– नसई ने उम्मुल मोमिनीन हफ़सा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चार चीजों को नहीं छोड़ते थे आशूरा और अशरा ज़िलहिज्जा(बक़रईद में पहली तारीख़ से नौ तारीख़ तक के रोज़े)और हर महीने में तीन दिन के रोज़े और फ़ज्र के पहले दो रकअ़तें।

हदीस न.32 :– नसई इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्ललल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम अय्यामे बीज़ में बग़ैर रोज़ा के न होते न सफ़र में न हज़र में।

पीर और जुमेरात के रोज़े

हदीस न.33 व 35 :– सुनने तिर्मिज़ी में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पीर और जुमेरात को अअ्माल पेश होते हैं तो मैं पसन्द करता हूँ कि मेरा अमल उस वक़्त पेश हो कि मैं रोज़ादार हूँ इसी के मिस्ल उसामा इब्ने ज़ैद व जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हुम से मरवी।

हदीस न.36 :– इब्ने माजा उन्हीं से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात को रोज़े रखा करते थे। इसके बारे में अर्ज़ की गई तो फ़रमाया इन दिनों में अल्लाह तआला हर मुसलमान की मग़फ़िरत फ़रमाता है मगर वह दो शख़्स जिन्होंने बाहम (एक दूसरे में) जुदाई कर ली है उनकी निस्बत मलाइका से फ़रमाता है इन्हें छोड़ो यहाँ तक कि सुलह कर लें।

हदीस न.37 :– तिर्मिज़ी शरीफ़ में उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात को ख़्याल करके रोज़ा रखते थे।

हदीस न.38 :– सही मुस्लिम शरीफ़ में अबू क़तादा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पीर के दिन रोज़े का सबब दरयाफ़्त किया गया। फ़रमाया इसी में मेरी विलादत हुई और इसी में मुझ पर वही नाज़िल हुई।

बअ्ज़ और दिनों के रोज़े।

हदीस न. 39:– अबू यअ्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो चहार शम्बा (बुध)और पंजशम्बा (जुमेरात)को रोज़े रखे उसके लिए दोज़ख़ से बराअ्त(आज़ादी)लिख दी जायेगी।

हदीस न. 40 से 42 :– तबरानी औसत में उन्हीं से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसने चहार शम्बा व पंजशम्बा व जुमे को रोज़े रखे अल्लाह तआला उसके लिए जन्नत में एक मकान बनायेगा जिसका बाहर का हिस्सा अन्दर से दिखाई देगा और अन्दर का बाहर से और अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत में है कि जन्नत में मोती और याक़ूत व ज़बरजद का महल बनायेगा और उसके लिए दोज़ख़ से बराअ्त लिख दी जायेगी और इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा की रिवायत है कि जो इन तीन दिनों के रोज़े रखे फिर जुमे को थोड़ा या ज़्यादा सदक़ा करे तो जो गुनाह किया है बख़्श दिया जायेगा और ऐसा हो जायेगा जैसा उस दिन कि अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ मगर ख़ुसूसियत के साथ जुमा के दिन रोज़ा रखना मकरूह है।

हदीस न.43– : मुस्लिम व नसई अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया रातों में से जुमे की रात को क़ियाम के लिए और दिनों में जुमे के दिन को रोज़ा के लिए ख़ास न करो, हाँ कोई किसी दिन का रोज़ा रखता था और जुमे का दिन रोज़ा में आ गया तो हरज नहीं।

हदीस न.44 :– बुख़ारी व मुस्लिम व तिर्मिज़ी व नसाई व इब्ने माजा व इब्ने ख़ुज़ैमा उन्हीं से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जुमे के दिन और रोज़ा न रखे मगर उस सूरत में कि उसके पहले या बअ्द एक ईद है लिहाज़ा ईद के दिन को रोज़े का दिन न करो मगर उसके पहले या बाद रोज़ा रखे।

हदीस न.45 :– सही बुख़ारी व मुस्लिम में मुहम्मद इब्ने इबाद से है कि जाबिर रदियल्लाहु तआला

अन्हु ख़ानए कअ्बा का त़वाफ़ करते थे मैंने उनसे पूछा क्या नबीये करीम स़ल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जुमे के रोज़ा से मना फ़रमाया। कहा हाँ इस घर के रब की क़सम।

मन्नत के रोज़े का बयान

शरई मन्नत जिसके मानने से शरअ़न उसका पूरा करना वाजिब होता है उसके लिए मुतलक़न चन्द शर्तें हैं :–

(1)ऐसी चीज़ों की मन्नत हो कि उसकी जिन्स से कोई वाजिब हो। इयादते मरीज़ और मस्जिद में जाने और जनाज़े के साथ जाने की मन्नत नहीं हो सकती। (यअ्नी कोई अगर ऐसा कहे कि मेरा काम हो जायेगा तो मरीज़ को देखने जाऊँगा या मस्जिद या जनाज़े के साथ जाऊँगा तो इस त़रह़ मन्नत न हुई)(2)वह इबादत ब–ज़ाते ख़ुद मक़्सूद हो किसी दूसरी इबादत के लिए वसीला न हो लिहाज़ा वुज़ू व ग़ुस्ल व नज़रे मुसह़फ़ (यअ्नी क़ुर्आन को देखने)की मन्नत स़ही नहीं। (यअ्नी अगर ऐसा कहा कि मेरा काम हो गया तो वुज़ू करूँगा या ग़ुस्ल करूँगा या क़ुर्आन शरीफ़ देखूँगा ऐसी बातों से मन्नत न होगी)(3)उस चीज़ की मन्नत न हो जो शरीअ़त ने ख़ुद उस पर वाजिब की हो ख़्वाह फ़िलह़ाल या आइन्दा मसलन आज की ज़ोहर या किसी फ़र्ज़ नमाज़ की मन्नत स़ही नहीं कि यह चीज़े तो ख़ुद ही वाजिब हैं। (यअ्नी अगर यह कहा कि मेरा काम हो गया तो ज़ोहर की नमाज़ या कोई फ़र्ज़ इबादत अदा करूँगा यह मन्नत स़ही नहीं क्यूँकि फ़र्ज़ तो सिवा उ़ज़्र के हर ह़ाल में बजा लाना ज़रूरी है लिहाज़ा मन्नत यूँ नहीं मान सकते)

(4)जिस चीज़ की मन्नत मानी वह ब–ज़ाते ख़ुद कोई गुनाह की बात न हो और अगर किसी और वजह से गुनाह हो तो मन्नत स़ही हो जायेगी मसलन ईद के दिन रोज़ा रखना मना है कि अगर इसकी मन्नत मानी तो मन्नत हो जायेगी अगर्चे हुक्म यह है कि उस दिन न रखे बल्कि किसी दूसरे दिन रखे कि यह मनाही आ़रिज़ी है यअ्नी ईद के दिन होने की वजह से ख़ुद रोज़ा एक जाइज़ चीज़ है।

(5)ऐसी चीज़ की मन्नत न हो जिसका होना मुह़ाल हो मसलन मन्नत मानी कि गुज़रे हुए कल रोज़ा रखूँगा कि यह मन्नत स़ही नहीं। (यअ्नी चूँकि गुज़रा हुआ कल तो अब आ ही नहीं सकता लिहाज़ा मन्नत स़ही नहीं)

मसअ्ला :– मन्नत स़ही होने के लिए कुछ यह ज़रूरी नहीं कि दिल में उसका इरादा भी हो अगर कहना कुछ चाहता था ज़बान से मन्नत के अल्फ़ाज़ जारी हो गये मन्नत स़ही होगी या कहना यह चाहता था कि अल्लाह के लिए मुझ पर एक दिन का रोजा रखना है और जबान से एक महीना निकला तो महीने भर का रोज़ा वाजिब हो गया। (रद्दुल मुह्तार)

मसअ्ला :– अय्यामे मनहिया (वह दिन जिन दिनों में रोज़ा रखना मना है) यअ्नी ईद व बक़रईद और ज़िलह़िज्जा की ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं के रोज़े रखने की मन्नत मानी और उन्हीं दिनों में रख भी लिये तो अगर्चे यह गुनाह हुआ मगर मन्नत अदा हो गई। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– इस साल के रोज़े की मन्नत मानी तो अय्यामे मनहिय्या छोड़ कर बाक़ी दिनों में रोज़े रखे और इन दिनों के बदले के और दिनों में रखे और अगर अय्यामे मनहिय्या में भी रख लिये तो मन्नत पूरी हो गई मगर गुनाहगार हुआ। यह हुक्म उस वक़्त है कि अय्यामे मनहिय्या से पहले मन्नत मानी और अगर अय्यामे मनहिय्या गुज़रने के बाद मसलन ज़िलह़िज्जा की चौदहवीं शब में इस साल के रोज़े रखने की मन्नत मानी तो ख़त्म ज़िलह़िज्जा तक रोज़ा रखने से मन्नत पूरी हो

गई कि यह साल ज़िलहिज्जा पर ख़त्म हो जाता है और रमज़ान से पहले इस सन् के रोज़े की मन्नत मानी थी तो रमज़ान के बदले के रोज़े उसके नहीं और अगर मन्नत में पै–दर पै रोज़ा की शर्त या नियत की जब भी जिन दिनों में रोज़े की मनाही है उनमें रोज़े न रखे मगर बाद में पै दर–पै उन दिनों की क़ज़ा रखे और अगर एह दिन भी रोज़ा रहा तो उस दिन के पहले जितने रोज़े रखे थे उन सब का इआदा करे यअ्नी लौटाये अगर एक साल के रोज़े की मन्नत की तो साल भर रोज़े रखने के बाद पैंतीस या चौंतीस दिन के और रखे यअ्नी माहे रमज़ान और पाँच दिन अय्यामे ममनूआ(मनाही के दिनों)के बदले कि अगर्चे इन दिनों में भी उसने रोज़े रखे हों कि इस सूरत में यह नाकाफ़ी हैं अलबत्ता अगर यूँ कहा कि एक साल के रोज़े पै–दर–पै रखूँगा तो अब उन पैंतीस दिनों के रोज़ों की ज़रूरत नहीं मगर इस सूरत में अगर पै–दर–पै न होंगे तो सिरे से फ़िर रखने होंगे मगर अय्यामे ममनूआ में न रखे बल्कि साल पूरा होने पर पाँच दिन अललइत्तिसाल यअ्नी लगातार रख ले। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मन्नत के अल्फ़ाज़ में यमीन (क़सम) का भी एहतिमाल है लिहाज़ा यहाँ छः सूरतें होंगी।

1.उन लफ़्ज़ों से कुछ नियत न की न मन्नत की न यमीन (क़सम)की।

2.फ़क़त मन्नत की नियत की यअ्नी यमीन होने न होने किसी का इरादा न किया।

3.मन्नत की नियत की और यह कि यमीन नहीं।

4.यमीन की नियत की और यह कि मन्नत नहीं।

5.मन्नत और यमीन दोनों की नियत की।

6.फ़क़त यमीन की नियत की और मन्नत होने या न होने किसी की नहीं। पहली तीन सूरतों में फ़कत मन्नत है कि पूरी न करे तो क़ज़ा दे और चौथी सूरत में यमीन है कि अगर पूरी न की तो कफ़्फ़ारा देना होगा। पाँचवीं और छठी सूरतों में मन्नत और यमीन दोनो हैं पूरी न करे तो मन्नत की कज़ा दे और यमीन का कफ़्फ़ारा। (तनवीरुल अबसार)

मसअ्ला :– उस महीने के रोज़े की मन्नत मानी और उसमें अय्यामे मनहिय्या हैं तो उनमें रोज़े न रखे बल्कि उनके बदले के बअ्द में रखे और रख लिये तो गुनाहगार हुआ मगर मन्नत पूरी हो गई और इस सूरत में पूरे एक महीने में जितने दिन बाक़ी हैं उन दिनों में रोज़े वाजिब हैं और अगर वह महीना रमज़ान का था तो मन्नत ही न हुई कि रमज़ान के रोज़े तो ख़ुद ही फ़र्ज़ हैं, हाँ अगर माहे रमज़ान के रोज़े की मन्नत मानी और रमज़ान आने से पहले इन्तिक़ाल हो गया तो एक माह तक मिस्कीन को खाना खिलाने की वसीयत वाजिब है और अगर किसी मुअय्यन महीने की मन्नत मानी मसलन रजब या शाबान की तो पूरे महीने का रोज़ा ज़रूरी है वह महीना उन्तीस का हो तो उन्तीस रोज़े और तीस का हो तो तीस रोज़े और नाग़ा न करे फिर अगर कोई रोज़ा छूट गया तो उसको बअ्द में रख ले पूरे महीने के लौटाने की ज़रूरत नहीं। (रद्दुल मुहतार वग़ैरा)

मसअ्ला :– एक महीने के रोज़े की मन्नत मानी तो पूरे तीस दिन के रोज़े वाजिब हैं अगर्चे जिस महीने में रखे वह उन्तीस ही का हो और यह भी ज़रूर है कि कोई रोज़ा अय्यामे मनहिय्या में न हो कि इस सूरत में अगर अय्यामे मनहिय्या में रोज़े रखे तो गुनाहगार तो हुआ ही वह रोज़े भी नाकाफ़ी हैं और पै–दर–पै की शर्त लगाई या दिल में नियत की तो यह भी ज़रूर है कि नाग़ा न होने पाये अगर नाग़ा हुआ अगर्चे अय्यामे मनहिय्या में तो अब से एक महीने के अललइत्तिसाल (लगातार)रोज़े रखे यअ्नी यह ज़रूरी है कि इन तीस दिनों में कोई दिन ऐसा न हो जिस में रोज़े की मनाही है

और पै–दर–पै की न शर्त लगाई न नियत में है तो मुतफ़र्रिक़ तौर पर (अलग–अलग)तीस रोज़े रख लेने से भी मन्नत पूरी हो जायेगी, और अगर औरत ने एक माह पै–दर–पै रोज़े रखने की मन्नत मानी तो अगर एक महीना या ज़्यादा तहारत का ज़माना उसे मिलता है तो ज़रूर है कि ऐसे वक़्त शुरूअ़ करे कि हैज़ आने से पहले तीस दिन पूरे हो जायें वरना हैज़ आने के बअ़द अब से तीस दिन पूरे करने होंगे और अगर महीना पूरा होने से पहले उसे हैज़ आ जाया करता है तो हैज़ से पहले जितने रोज़े रख चुकी है उन्हें हिसाब कर ले जो बाक़ी रह गये उन्हें हैज़ ख़त्म होने के बाद लगातार बिना नाग़ा पूरा करे ले। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– पै–दर–पै रोज़े की मन्नत मानी तो नाग़ा करना जाइज़ नहीं और मुतफ़र्रिक़ तौर पर मसलन दस रोज़े की मन्नत मानी तो लगातार रखना जाइज़ है। (बहर)

मसअ्ला : – मन्नत दो क़िस्म है एक मुअ़ल्लक़ कि मेरा फ़ुलाँ काम हो जायेगा या फ़ुलाँ शख़्स सफ़र से आ जाये तो मुझ पर अल्लाह के लिए इतने रोजे या नमाज़ या सदक़ा वग़ैरा है। दूसरी ग़ैर मुअ़ल्लक़ जो किसी चीज़ के होने पर मौक़ूफ़ नहीं बल्कि यह कि अल्लाह के लिए मैं अपने ऊपर इतने रोज़े या नमाज़ या सदक़ा वग़ैरा वाजिब करता हूँ। ग़ैर मुअ़ल्लक़ में अगर्चे वक़्त या जगह वग़ैर मुअय्यन करे मगर मन्नत पूरी करने के लिए यह ज़रूर नहीं कि उससे पहले या उसके ग़ैर में न हो सके बल्कि अगर उस वक़्त से पहले रोज़े रख ले या नमाज़ पढ़ ले वग़ैरा–वग़ैरा तो मन्नत पूरी हो गई। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– इस रजब के रोज़े की मन्नत मानी और जुमादल उख़रा में रोज़े रख लिये और यह महीना उन्तीस का हुआ अगर यह रजब भी उन्तीस का हो तो पूरी हो गई और रोज़े की ज़रूरत नहीं और तीस का हो तो एक रोज़ा और रखे। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– इस रजब के रोज़े की मन्नत मानी और रजब में बीमार रहा तो दूसरे दिनों में उनकी क़ज़ा रखे और क़ज़ा में इख़्तियार है कि लगातार रोज़े हों या नाग़ा देकर। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मुअ़ल्लक़ में शर्त पाई जाने से पहले मन्नत पूरी नहीं कर सकता अगर पहले ही रोज़े रख ले बअ़द में शर्त पाई गई तो अब फिर रखना वाजिब होगा पहले के रोज़े उसके क़ाइम मक़ाम नहीं हो सकते। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– एक दिन के रोज़े की मन्नत मानी तो इख़्तियार है कि अय्यामे मनहिय्या के सिवा जिस दिन चाहे रोज़ा रख ले। यूँही दो दिन तीन दिन में भी इख़्तियार है अलबत्ता अगर इन में पै–दर –पै की नियत की तो पै दर पै रखना वाजिब होगा वरना इख़्तियार है कि एक साथ रखे या नाग़ा देकर और मुतफ़र्रिक़ की नियत की और पै–दर–पै रख लिए जब भी जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक साथ दस रोज़ों की मन्नत मानी और पन्द्रह रोज़े रखे बीच में एक दिन इफ़्तार किया और यह याद नहीं कि कौन से दिन रोज़ा न था तो लगातार पाँच दिन और रख ले।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– मरीज़ ने एक माह रोज़ा रखने की मन्नत मानी और सेहत न हुई मर गया तो उस पर कुछ नहीं और अगर एक दिन के लिए भी अच्छा हो गया था और रोज़ा न रखा तो पूरे महीने भर के फ़िदये की वसीयत करना वाजिब है और उस दिन रोज़ा रख लिया जब भी बाक़ी दिनों के लिए वसीयत चाहिये। यूँही अगर तन्दुरुस्त ने मन्नत मानी और महीना पूरा होने से पहले मर गया उस पर भी वसीयत करना वाजिब है और अगर रात में मन्नत मानी थी और रात ही में मर गया जब भी वसीयत कर देना चाहिए। (दुर्रे मुख़्तार ,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– यह मन्नत मानी कि जिस दिन फ़ुलाँ शख़्स आयेगा उस दिन अल्लाह के लिए मुझ पर

रोज़ा रखना वाजिब है तो अगर ज़हवए कुब्रा से पहले आया और उसने कुछ खाया पिया नहीं है तो रोज़ा रख ले और अगर रात में आया तो कुछ नहीं। यूँही अगर ज़वाल के बाद आया या खाने के बाद आया या मन्नत मानने वाली औरत थी और उस दिन उसे हैज़ था तो इन सूरतों में भी कुछ नहीं और अगर यह कहा था कि जिस दिन फ़ुलाँ आयेगा उस दिन का अल्लाह के लिए मुझे हमेशा रोज़ा रखना है और खाना खाने के बअ्द आया तो उस दिन का रोज़ा तो नहीं मगर आइन्दा हर हफ़्ते में उस दिन का रोज़ा उस पर वाजिब हो गया मसलन पीर के दिन आया तो हर पीर को रोज़ा रखे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– यह मन्नत मानी कि जिस दिन फ़ुलाँ आयेगा उस रोज़ का रोज़ा मुझ पर हमेशा है और दूसरी मन्नत यह मानी कि जिस दिन फ़ुलाँ को सेहत हो जाये उस दिन का रोज़ा मुझ पर हमेशा है इत्तिफ़ाक़न जिस दिन वह आया उसी दिन वह अच्छा भी हो गया तो हर हफ़्ते में सिर्फ़ उसी एक दिन का रोज़ा रखना उस पर हमेशा वाजिब हुआ। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– आधे दिन के रोज़े की मन्नत मानी तो यह मन्नत सही नहीं। (आलमगीरी)

एअ्तिकाफ़ का बयान

अल्लाह तआला ने इरशाद फ़रमाया है :–

وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَ اَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِی الْمَسٰجِدِ

तर्जमा :– " औरतों से मुबाशरत न करो जबकि तुम मस्जिद में एअ्तिकाफ़ किये हुए हो"।

हदीस न.1 :– सहीहैन में उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रमज़ान के आख़िर अशरा (यअ्नी रमज़ान के आख़िरी दस दिन) का एअ्तिकाफ़ फ़रमाया करते थे।

हदीस न.2:– अबू दाऊद उन्हीं से रावी कहती हैं मोअ्तकिफ़ पर सुन्नत (यअ्नी हदीस से साबित) यह है कि न मरीज़ की इयादत को जाये न जनाज़ा में हाज़िर हो न औरत को हाथ लगाये और न उस से मुबाशरत करे और न किसी हाजत के लिए जाये मगर उस हाजत के लिए जा सकता है जो ज़रूरी है और एअ्तिकाफ़ बग़ैर रोज़ा के नहीं और एअ्तिकाफ़ जमाअ्त वाली मस्जिद में करे।

हदीस न.3 :– इब्ने माजा इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मोअ्तकिफ़ के बारे में फ़रमाया वह गुनाहों से बाज़ रहता है और नेकियों से उसे इस क़द्र सवाब मिलता है जैसे उसने तमाम नेकियाँ कीं।

हदीस न.4 :– बैहक़ी इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसने रमज़ान में दस दिनों का एअ्तिकाफ़ कर लिया तो ऐसा है जैसे दो हज और दो उमरे किये।

मसअ्ला :– मस्जिद में अल्लाह के लिए नियत के साथ ठहरना एअ्तिकाफ़ है और इसके लिए मुसलमान आक़िल और जनाबत व हैज़ व निफ़ास से पाक होना शर्त है। बुलूग़ शर्त नहीं बल्कि नाबालिग़ जो तमीज़ रखता है अगर ब–नियते एअ्तिकाफ़ मस्जिद में ठहरे तो यह एअ्तिकाफ़ सही है, आज़ाद होना भी शर्त नहीं। लिहाज़ा ग़ुलाम भी एअ्तिकाफ़ कर सकता है मगर उसे मौला से इजाज़त लेनी होगी और मौला को बहरहाल मना करने का हक़ हासिल है।(आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जामे मस्जिद होना एअ्तिकाफ़ के लिए शर्त नहीं बल्कि मस्जिदे जमाअ्त में भी हो

सकता है। मस्जिदे जमाअ़त वह है जिस में इमाम व मुअज़्ज़िन मुक़र्रर हों अगर्चे उसमें पन्जगना नमाज़ न होती हो और आसानी इसमें है कि मुतलक़न हर मस्जिद में एअ्तिकाफ़ सही है अगर्चे वह मस्जिदे जमाअ़त न हो ख़ुसूसन इस ज़माने में कि बहुतेरी मस्जिदें ऐसी हैं जिनमें न इमाम हैं न मुअज़्ज़िन। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– सबसे अफ़ज़ल मस्जिदे हरम शरीफ़ में एअ्तिकाफ़ है फिर मस्जिदे नबवी शरीफ़ में अ़ला साहिबिहिस्सलातु वत्तसलीम, फिर मस्जिदे अक़सा में फिर उस में जहाँ बड़ी जमाअ़त होती हो। (जौहरा)

मसअ्ला :– औ़रत को मस्जिद में एअ्तिकाफ़ मकरूह है बल्कि वह घर में ही एअ्तिकाफ़ करे मगर उस जगह करे जो उसने नमाज़ पढ़ने के लिए मुक़र्रर कर रखी है जिसे मस्जिदे बैत कहते हैं और औ़रत के लिए मुसतहब भी है कि घर में नमाज़ पढ़ने के लिये कोई जगह मुक़र्रर कर ले और चाहिये कि उस जगह को पाक साफ़ रखे और बेहतर यह कि उस जगह को चबूतरा वग़ैरा की तरह बलन्द कर ले बल्कि मर्द को भी चाहिए कि नवाफ़िल के लिए घर में कोई जगह मुक़र्रर कर ले कि नफ़्ल नमाज़ घर में पढ़ना अफ़ज़ल है। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर औ़रत ने नमाज़ के लिए कोई जगह मुक़र्रर नहीं कर रखी है तो घर में एअ्तिकाफ़ नहीं कर सकती अलबत्ता अगर उस वक़्त यअ्नी जबकि एअ्तिकाफ़ का इरादा किया किसी जगह को नमाज़ के लिए ख़ास कर लिया तो उस जगह एअ्तिकाफ़ कर सकती है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ख़ुनसा (हिजड़ा)मस्जिदे बैत में एअ्तिकाफ़ नहीं कर सकता। (दुर्रे मुख़्तार)

मसेहनत के सवाब मिल रहा है कि फ़क़त नियत कर लेने से एअ्तिकाफ़ का सवाब मिलता है, इसे तो न **ख़अ्ला** :– एअ्तिकाफ़ तीन क़िस्म है (1) **वाजिब** :– कि एअ्तिकाफ़ की मन्नत मानी यअ्नी ज़बान से कहा महज़ दिल में इरादे से वाजिब न होगा।

(2) सुन्नते मुअक्कदा :– कि रमज़ान के पूरे अशरए अख़ीर यअ्नी आख़िर के दस दिन में एअ्तिकाफ़ किया जाये यानी बीसवीं रमज़ान को सूरज डूबते वक़्त ब–नियत एअ्तिकाफ़ मस्जिद में हो और तीसवीं तारीख़ को ग़ुरूब के बअ्द या उन्तीस को चाँद होने के बअ्द निकले अगर बीसवीं तारीख़ को बअ्द नमाज़े मग़रिब एअ्तिकाफ़ की नियत की तो सुन्नत मोअक्कदा अदा हुई और यह एअ्तिकाफ़ सुन्नते किफ़ाया है कि अगर सब तर्क करें तो सबसे मुतालबा होगा और शहर में एक ने कर लिया तो सब बरीउज़्ज़िम्मा।

(3)इन दोनों के अ़लावा और जो एअ्तिकाफ़ किया जाये वह **मुस्तहब व सुन्नते ग़ैर मुअक्कदा** है।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– एअ्तिकाफ़े मुस्तहब के लिए न रोज़ा शर्त है न उसके लिए कोई ख़ास वक़्त मुक़र्रर बल्कि जब मस्जिद में एअ्तिकाफ़ की नियत की जब तक मस्जिद में है मोअ्तकिफ़ है, चला आया एअ्तिकाफ़ ख़त्म हो गया। (आ़लमगीरी वग़ैरा)

नोट :– जब भी मस्जिद में जाये एअ्तिकाफ़ की नियत कर ले। नियत करते वक़्त यह कहे "नवैतु सुन्नतल एअ्तिकाफ"और उसके बअ्द थोड़ी देर कुछ इबादत भी ज़रूर करे और इसके बअ्द जितनी देर मस्जिद में रहेगा उतनी देर इबादत का सवाब पायेगा। बग़ैर मोना चाहिए मस्जिद में अगर दरवाज़े पर यह इबारत लिख दी जाये कि एअ्तिकाफ़ की नियत कर लो एअ्तिकाफ़ का सवाब पाओगे तो बेहतर है कि जो इस से नावाक़िफ़ हैं उन्हें मअ्लूम हो जाये और जो जानते हैं उन के लिए याददेहानी हो।

मसअ्ला :– एअ्तिकाफ़ सुन्नत यअ्नी रमज़ान की पिछली दस तारीख़ों में जो किया जाता है उसमें रोज़ा शर्त है। लिहाज़ा अगर किसी मरीज़ या मुसाफ़िर ने एअ्तिकाफ़ तो किया मगर रोज़ा न रखा तो सुन्नत अदा न हुई बल्कि नफ़्ल हुआ। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मन्नत के एअ्तिकाफ़ में भी रोज़ा शर्त है यहाँ तक कि अगर एक महीने के एअ्तिकाफ़ की मन्नत मानी और यह कहा कि रोज़ा न रखेगा जब भी रोज़ा रखना वाजिब है और अगर रात के एअ्तिकाफ़ की मन्नत मानी तो यह मन्नत सही नहीं कि रात में रोज़ा नहीं हो सकता और अगर यूँ कहा कि एक दिन रात का मुझ पर एअ्तिकाफ़ है तो यह मन्नत सही है और अगर आज के एअ्तिकाफ़ की मन्नत मानी और खाना खा चुका है तो मन्नत सही नहीं।(दुर्रे मुख़्तार,आलमगीरी)यूँही अगर ज़हवए कुबरा के बाद मन्नत मानी और रोज़ा न था तो यह मन्नत सही नहीं कि अब रोज़े की नियत नहीं कर सकता बल्कि अगर रोज़े की नियत कर सकता हो मसलन ज़हवए कुबरा से क़ब्ल (पहले)जब भी मन्नत सही नहीं कि यह रोज़ा नफ़्ल होगा और इस एअ्तिकाफ़ में रोज़ा वाजिब दरकार।

मसअ्ला :– यह ज़रूरी नहीं कि ख़ास एअ्तिकाफ़ ही के लिए रोज़ा हो बल्कि रोज़ा होना ज़रूरी है अगर्चे एअ्तिकाफ़ की नियत से न हो मसलन इस रमज़ान के एअ्तिकाफ़ की मन्नत मानी तो वही रमज़ान के रोज़े इस एअ्तिकाफ़ के लिए काफ़ी हैं और अगर रमज़ान के रोज़े तो रखे मगर एअ्तिकाफ़ न किया तो अब एक माह के रोज़े और इसके साथ एअ्तिकाफ़ करे और अगर यूँ न किया यअ्नी रोज़े रखकर एअ्तिकाफ़ न किया और दूसरा रमज़ान आ गया तो इस रमज़ान के रोज़े उस एअ्तिकाफ़ के लिए काफ़ी नहीं। यूँही अगर किसी और वाजिब के रोज़े रखे तो यह एअ्तिकाफ़ उन रोज़ों के साथ भी अदा नहीं हो सकता बल्कि अब उसके लिए ख़ास एअ्तिकाफ़ की नियत से रोज़े रखना ज़रूरी है और अगर उस सूरत में कि रमज़ान के एअ्तिकाफ़ की मन्नत मानी थी न रोज़े रखे न एअ्तिकाफ़ किया अब उन रोज़ों की क़ज़ा रख रहा है तो इन क़ज़ा रोज़ों के साथ वह एअ्तिकाफ़ की मन्नत भी पूरी कर सकता है। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– नफ़्ली रोज़ा रखता था और उस दिन के एअ्तिकाफ़ की मन्नत मानी तो यह मन्नत सही नहीं कि एअ्तिकाफ़े वाजिब के लिये नफ़्ली रोज़ा काफ़ी नहीं और यह रोज़ा वाजिब हो नहीं सकता (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक महीने के एअ्तिकाफ़ की मन्नत मानी तो यह इस रमज़ान में पूरी नहीं कर सकता बल्कि ख़ास एअ्तिकाफ़ के लिए रोज़े रखने होंगें। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत ने एअ्तिकाफ़ की मन्नत मानी तो शौहर मन्नत पूरी करने से रोक सकता है और अब बाइन होने या शौहर की मौत के बाद मन्नत पूरी करे। यूँही लौंडी, ग़ुलाम को उनका मालिक मना कर सकता है यह आज़ाद होने के बअ्द पूरी करें। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– शौहर ने एक महीने के एअ्तिकाफ़ की इजाज़त दी और औरत लगातार पूरे महीने का एअ्तिकाफ़ करना चाहती है तो शौहर को इख़्तियार है कि यह हुक्म दे कि थोड़े–थोड़े करके एक महीना पूरा करे और अगर किसी ख़ास महीने की इजाज़त दी है तो अब इख़्तियार न रहा।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– एअ्तिकाफ़े वाजिब में मोअ्तकिफ़ को मस्जिद से बग़ैर उज़्र निकलना हराम है अगर निकला तो एअ्तिकाफ़ जाता रहा अगर्चे भूलकर निकला हो। यूँही एअ्तिकाफ़े सुन्नत भी बग़ैर उज़्र निकलने से जाता रहता है। यूँही औरत ने मस्जिदे बैत(घर में बनाई गई वह जगह जो औरत नमाज़ के लिए बना ले)में एअ्तिकाफ़े वाजिब या मसनून किया तो बग़ैर उज़्र वहाँ से नहीं निकल सकती

अगर वहाँ से निकलीं अगर्चे घर ही में रही एअ्तिकाफ़ जाता रहा। (आलमगीरी रद्दुल मुहतार)
मसअ्ला :– मोअ्तकिफ़ के मस्जिद से निकलने के दो उज़्र हैं एक हाजते तब्ई कि मस्जिद में पूरी न हो सके जैसे पाखाना, पेशाब इस्तिन्जा, वुज़ू और ग़ुस्ल की ज़रूरत हो तो ग़ुस्ल। मगर ग़ुस्ल व वुज़ू में यह शर्त है कि मस्जिद में न हो सकें यअ्नी कोई ऐसी चीज़ न हो जिसमें वुज़ू व ग़ुस्ल का पानी ले सके इस तरह कि मस्जिद में पानी की कोई बूँद न गिरे कि वुज़ू व ग़ुस्ल का पानी मस्जिद में गिराना ना–जाइज़ है और लगन वग़ैरा मौजूद हो कि उसमें वुज़ू इस तरह कर सकता है कि कोई छींट मस्जिद में न गिरे तो वुज़ू के लिए मस्जिद से निकलना जाइज़ नहीं, निकलेगा तो एअ्तिकाफ़ जाता रहेगा। यूँही अगर मस्जिद में वुज़ू व ग़ुस्ल के लिए जगह बनी हो या हौज़ हो तो बाहर जाने की अब इजाज़त नहीं। दूसरा उज़्र हाजते शरई मसलन ईद या जुमा के लिए जाना या अज़ान कहने के लिए मीनार पर जाना जबकि मीनार पर जाने के लिए बाहर ही से रास्ता हो और अगर मीनार का रास्ता अन्दर से है तो मुअज़्ज़िन ही नहीं ग़ैरे मुअज़्ज़िन भी मीनार पर जा सकता है। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)
मसअ्ला :– कज़ाए हाजत यअ्नी पेशाब–पाखाना को गया तो तहारत करके फ़ौरन चला आये ठहरने की इजाज़त नहीं और अगर मोअ्तकिफ़ का मकान मस्जिद से दूर है और उसके दोस्त का मकान करीब तो यह ज़रूरी नहीं कि दोस्त के यहाँ कज़ाए हाजत को जाये बल्कि अपने मकान पर भी जा सकता है और अगर उसके खुद दो मकान हैं एक नज़दीक दूसरा दूर तो नज़दीक वाले मकान में जाये बअ्ज़ मशाइख़ फ़रमाते हैं दूर वाले में जायेगा तो एअ्तिकाफ़ फ़ासिद हो जायेगा।
मसअ्ला :– जुमा अगर करीब की मस्जिद में होता है तो आफ़ताब ढलने के बअ्द उस वक़्त जाये कि अज़ाने सानी(जुमे के खुतबे से पहले होने वाली अज़ान)से पहले सुन्नतें पढ़ ले और अगर दूर हो तो आफ़ताब ढलने से पहले भी जा सकता है मगर इस अन्दाज़ से जाये कि अज़ाने सानी के पहले सुन्नतें पढ़ सके ज़्यादा पहले न जाये और यह बात उसकी राय पर है जब उसकी समझ में आ जाये कि पहुँचने के बअ्द सिर्फ़ सुन्नतों को वक़्त रहेगा चला जाये और फ़र्ज़ जुमा के बअ्द चार या छः रकअ्तें सुन्नतों की पढ़कर चला आये और ज़ोहरे एहतियाती पढ़नी है तो एअ्तिकाफ़ वाली मस्जिद में आकर पढ़े और अगर पिछली सुन्नतों के बअ्द वापस न आया वहीं जामे मस्जिद में ठहरा रहा अगर्चे एक दिन–रात वहीं रह गया या अपना एअ्तिकाफ़ वहीं पूरा किया तो भी वह एअ्तिकाफ़ फ़ासिद न हुआ मगर यह मकरूह है और यह सब उस सूरत में है कि जिस मस्जिद में एअ्तिकाफ़ किया वहाँ जुमा न होता हो। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)
मसअ्ला :– अगर ऐसी मस्जिद में एअ्तिकाफ़ किया जहाँ जमाअ्त नहीं होती तो जमाअ्त के लिये निकलने की इजाज़त है। (रद्दुल मुहतार)
मसअ्ला :– एअ्तिकाफ़ के ज़माने में हज या उमरा का एहराम बाँधा तो एअ्तिकाफ़ पूरा कर के जाये और अगर वक़्त कम है कि एअ्तिकाफ़ पूरा करेगा तो हज जाता रहेगा तो हज को चला जाये फिर सिरे से एअ्तिकाफ़ करे। (रद्दुल मुहतार)
मसअ्ला :– अगर वह मस्जिद गिर गई या किसी ने मजबूर करके वहाँ से निकाल दिया और फ़ौरन दूसरी मस्जिद में चला गया तो एअ्तिकाफ़ फ़ासिद न हुआ। (आलमगीरी)
मसअ्ला :– अगर डूबने या जलने वाले को बचाने के लिए मस्जिद से बाहर गया या गवाही देने के

लिए गया या जिहाद में सब लोगों का बुलावा हुआ और यह भी निकला या मरीज़ की इयादत या नमाज़े जनाज़ा के लिए गया अगर्चे कोई दूसरा पढ़ने वाला न हो तो इन सब सूरतों में एअ्तिकाफ़ फ़ासिद हो गया। (आलमगीरी वगै़रा)

मसअ्ला :– औरत मस्जिद में मोअ्तकिफ़ थी उसे तलाक़ दी गयी तो घर चली जाये और उसी एअ्तिकाफ़ को पूरा कर ले। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर मन्नत मानते वक़्त यह शर्त कर ली कि मरीज़ की इयादत और नमाज़े जनाज़ा और मज्लिसे इल्म में हाज़िर होगा तो यह शर्त जाइज़ है अगर इन कामों के लिए जाये तो एअ्तिकाफ़ फ़ासिद न होगा मगर ख़ाली दिल में नियत कर लेना काफ़ी नहीं बल्कि ज़बान से कह लेना ज़रूरी है। (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार वगै़रहुमा)

मसअ्ला :– पाख़ाना, पेशाब के लिए गया था क़र्ज़ख्वाह ने रोक लिया एअ्तिकाफ़ फ़ासिद हो गया।

मसअ्ला :– मोअ्तकिफ़ को वती यअ्नी जिमा करना और औरत को बोसा लेना या छूना या गले लगाना हराम है,जिमा से बहरहाल एअ्तिकाफ़ फ़ासिद हो जायेगा इन्ज़ाल हो या न हो क़स्दन हो या भूले से,मस्जिद में हो या बाहर,रात में हो या दिन में। जिमाअ् के अलावा औरों में अगर इन्ज़ाल हो तो फ़ासिद वरना नहीं। एहतिलाम हो गया या ख़्याल जमाने या नज़र करने से इन्ज़ाल हुआ तो एअ्तिकाफ़ फ़ासिद न हुआ। (आलमगीरी वगै़रा)

मसअ्ला :– मोअ्तकिफ़ ने दिन में भूल कर खा लिया तो एअ्तिकाफ़ फ़ासिद न हुआ गाली–गलौच या झगड़ा करने से एअ्तिकाफ़ फ़ासिद नहीं होता मगर बे–नूर व बे–बरकत होता है।(आलमगीरी वगै़रा)

मसअ्ला :– मोअ्तकिफ़ निकाह कर सकता है और औरत को रजई तलाक़ दी है तो रजअ्त भी कर सकता है मगर इन उमूर (कामों)के लिए अगर मस्जिद से बाहर होगा तो एअ्तिकाफ़ जाता रहेगा।(आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार) मगर जिमा और बोसा वगै़रा से उसको रजअ्त हराम है अगर्चे रजअ्त हो जायेगी।

मसअ्ला :– मोअ्तिकफ़ ने हराम माल या नशे की चीज़ रात में खाई तो एअ्तिकाफ़ फ़ासिद न हुआ। (आलमगीरी)मगर इस हराम का गुनाह हुआ तौबा करे।

मसअ्ला :– बेहोशी और जुनून तवील (ज़्यादा)हो कि रोज़ा न हो सके तो एअ्तिकाफ़ जाता रहा और क़ज़ा वाजिब है अगर्चे कई साल के बअ्द सेहत हो और अगर मातुव्वा यअ्नी बुहरा (यअ्नी बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ जो अजीब–अजीब बातें करे) हो गया जब भी अच्छे होने के बाद क़ज़ा वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मोअ्तकिफ़ मस्जिद में ही खाये, पिये और सोये इन कामों के लिए मस्जिद से बाहर होगा तो एअ्तिकाफ़ जाता रहेगा (दुर्रे मुख़्तार वगै़रा) मगर खाने पीने में यह एहतियात लाज़िम है कि मस्जिद आलूदा न हो यअ्नी मस्जिद में खाना–पीना न गिराये।

मसअ्ला :– मोअ्तकिंफ़ के सिवा और किसी को मस्जिद में खाने, पीने, सोने की इजाज़त नहीं और अगर यह काम करना चाहे तो एअ्तिकाफ़ की नियत करके मस्जिद में जाये और नमाज़ पढ़े या ज़िक्रे इलाही करे फिर यह काम कर सकता है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मोअ्तकिफ़ अगर ब–नियते इबादत सुकूत करे यअ्नी चुप रहने को सवाब की बात समझे तो मकरूहे तहरीमी है और अगर चुप रहना सवाब की बात समझकर न हो तो हरज़ नहीं और बुरी बात से चुप रहा तो यह मकरूह नहीं बल्कि यह तो अअ्ला दर्जे की चीज़ है क्यूँकि बुरी

बात ज़बान से न निकालना वाजिब है और जिस बात में न सवाब हो न गुनाह यअ्नी मुबाह बात भी मोतकिफ़ को मकरूह है मगर ब–वक़्ते ज़रूरत और बे–ज़रूरत मस्जिद में मुबाह कलाम (मुबाह कलाम वह गुफ़्तगू जिसके करने से न गुनाह हो न सवाब) नेकियों को ऐसे खाता है जैसे आग लकड़ी को।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मोअ्तकिफ़ न चुप रहे न कलाम करे तो क्या करे यह करे क़ुर्आन मजीद की तिलावत, हदीस शरीफ़ की किरात, और दुरूद शरीफ़ की कसरत, इल्मे दीन का दर्स व तदरीस (पढ़ना–पढ़ाना)नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व दीगर अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के सीरत व ज़िक्र और औलिया व सालेहीन की हिकायत और उमूरे दीन की किताबत (दीन की बातों की लिखाई)। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– एक दिन के एअ्तिकाफ़ की मन्नत मानी तो उसमें रात दाख़िल नहीं तुलूए फ़ज्र से पहले मस्जिद में चला जाये और गुरूब के बाद चला आये और अगर 2 दिन या 3 दिन या ज़्यादा दिनों की मन्नत मानी या दो या तीन या ज़्यादा रातों की एअ्तिकाफ़ की मन्नत मानी तो इन दोनों सूरतों में अगर सिर्फ़ दिन या सिर्फ़ रातें मुराद लें तो नियत सही है। लिहाज़ा पहली सूरत में मन्नत सही और सिर्फ़ दिनों में एअ्तिकाफ़ वाजिब हुआ और इस सूरत में इख़्तियार है कि उतने दिनों का लगातार एअ्तिकाफ़ करे या मुतफ़र्रिक़ तौर पर,और दूसरी सूरत में मन्नत सही नहीं कि एअ्तिकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है और रात में रोज़ा हो नहीं सकता और अगर दोनों सूरतों में दिन और रात दोनों का एअ्तिकाफ़ ज़रूरी है तफ़रीक़ नहीं कर सकता यअ्नी दिन छोड़–छोड़ कर नहीं कर सकता। नीज़ इस सूरत में यह भी ज़रूरी है कि दिन से पहले जो रात है उसमें एअ्तिकाफ़ हो। लिहाज़ा गुरूबे आफ़ताब से पहले जाये एअ्तिकाफ़ में चला जाये और जिस दिन पूरा हो गुरूब आफ़ताब के बअ्द निकल आये और अगर दिन की मन्नत मानी और कहता यह है कि मैंने दिन कहकर रात मुराद ली तो यह नियत सही नहीं दिन और रात दोनों का एअ्तिकाफ़ वाजिब है। (जौहरा,आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ईद के दिन के एअ्तिकाफ़ की मन्नत मानी तो किसी और दिन में जिस दिन रोज़ा रखना जाइज़ है उसकी क़ज़ा करे और अगर यमीन(क़सम)की नियत थी तो कफ़्फ़ारा दे और ईद ही के दिन कर लिया तो मन्नत पूरी हो गई मगर गुनाहगार हुआ। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी दिन या किसी महीने के एअ्तिकाफ़ की मन्नत मानी तो उससे पहले भी उस मन्नत को पूरा कर सकता है यअ्नी जबकि मुअ़ल्लक़ न हो (यअ्नी ऐसा न हो कि फ़लाँ काम हो जायेगा तो एअ्तिकाफ़ करूँगा)और मस्जिदे हरम शरीफ़ में एअ्तिकाफ़ करने की मन्नत मानी तो दूसरी मस्जिद में भी कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– माहे गुज़श्ता (गुज़रे हुए महीने)के एअ्तिकाफ़ की मन्नत मानी तो सही नहीं, मन्नत मानकर मआज़ल्लाह मुरतद हो गया तो मन्नत साक़ित हो गई फिर मुसलमान हुआ तो उसकी क़ज़ा वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक महीने के एअ्तिकाफ़ की मन्नत मानी और मर गया तो हर रोज़ के बदले ब–क़द्रे सदक़ए फ़ित्र मिस्कीन को दिया जाये यअ्नी जबकि वसीयत की हो और उस पर वाजिब है कि वसीयत कर जाये और वसीयत न की मगर वारिसों ने अपनी तरफ़ से फ़िदया दे दिया जब भी जाइज़ है। मरीज़ ने मन्नत मानी और मर गया तो अगर एक दिन को भी अच्छा हो गया था तो हर

रोज़ के बदले सदक़ए फ़ित्र की क़द्र दिया जाये और एक दिन को भी अच्छा न हुआ तो कुछ वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक महीने के एअ्तिकाफ़ की मन्नत मानी तो यह बात उसके इख़्तियार में है कि जिस महीने का चाहे एअ्तिकाफ़ करे मगर लगातार एअ्तिकाफ़ में बैठना वाजिब है और अगर यह कहे कि मेरी मुराद एक महीने के सिर्फ़ दिन थे रातें नहीं तो यह क़ौल नहीं माना जायेगा। दिन और रात दोनों का एअ्तिकाफ़ है और तीस दिन कहा था कि एक महीने के दिनों का एअ्तिकाफ़ है रातों का नहीं तो सिर्फ़ दिनों का एअ्तिकाफ़ वाजिब हुआ और अब यह भी इख़्तियार है कि मुतफ़र्रिक़ तौर पर तीस दिन का एअ्तिकाफ़ कर ले और अगर यह कहा था कि एक महीने की रातों का एअ्तिकाफ़ है दिनों का नहीं तो कुछ नहीं। (जौहरा, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– एअ्तिकाफ़ नफ़्ल अगर छोड़ दे तो उसकी क़ज़ा नहीं कि वहीं तक ख़त्म हो गया ,और एअ्तिकाफ़े मसनून कि रमज़ान की पिछली दस तारीख़ों तक के लिए बैठा था उसे तोड़ा तो जिस दिन तोड़ा फ़क़त उस एक दिन की क़ज़ा करे पूरे दस दिनों की क़ज़ा वाजिब नहीं और मन्नत का एअ्तिकाफ़ तोड़ा तो अगर किसी मुअ़य्यन महीने की मन्नत थी तो बाक़ी दिनों की क़ज़ा करे वरना अगर अ़ललइत्तिसाल वाजिब न था तो, बाक़ी का एअ्तिकाफ़ करे। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– एअ्तिकाफ़ की क़ज़ा सिर्फ़ क़स्दन तोड़ने से नहीं बल्कि अगर उ़ज़्र की वजह से छोड़ा मसलन बीमार हो गया या बिला इख़्तियार छूटा मसलन औ़रत को हैज़ या निफ़ास आया या जुनून व बेहोशी त़वील त़ारी हुई उनमें भी क़ज़ा की ह़ाजत नहीं बल्कि बाज़ की क़ज़ा कर दे और कुल फ़ौत हुआ तो कुल की क़ज़ा है और मन्नत में अ़ललइत्तिसाल वाजिब हुआ था तो अ़ललइत्तिसाल कुल की क़ज़ा है। (रद्दुल मुहतार)

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى الَائِهٖ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَفْضَلِ اَنْبِيَائِهٖ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ اَوْلِيَائِهٖ وَ عَلَيْنَا مَعَهُمْ

يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

हिन्दी तर्जमा

मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

हिजरी 1431

मोबाइल न. 9219132423

وَمَآ اَرۡسَلۡنٰكَ اِلَّا رَحۡمَةً لِّلۡعٰلَمِيۡنَ
(اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا)

किताब को पढ़ने से पहले
इस किताब को स्कैन करने वाले
और इस काम मे हिस्सा लेने वालो के हक़ में

दुआ फरमाएं

अल्लाह अज़्ज़वजल हमारे तमाम
सगीरा व क़बीरा गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाये
और ईमान पर इस्तेक़ामत अता फ़रमाये!

आमीन

बहारे शरीअ़त

छठा हिस्सा

मुसन्निफ़
सदरूश्शरीआ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा
मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर
क़ादरी दारूल इशाअ़त
मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली–53
Mob:–9312106346

नाम किताब — बहारे शरीअत (छटा हिस्सा)

मुसन्निफ़ — सदरुश्शरीअ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमह

हिन्दी तर्जमा — मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

कम्प्यूटर कम्पोज़िंग — मौलाना मुहम्मद शफ़ीक़ुल हक़ रज़वी

क़ीमत जिल्द अव्वल — 500/

ता़दाद — 1000

इशाअ़त — 2010 ई.

मिलने के पते :

1. मकतबा नईमिया ,मटिया महल, दिल्ली।
2. फ़ारूक़िया बुक डिपो ,मटिया महल ,दिल्ली।
3. नाज़ बुक डिपो ,मोहम्मद अ़ली रोड़ मुम्बई
4. अलकुरआन कम्पनी ,कमानी गेट,अजमेर।
5. चिश्तिया बुक डिपो दरगाह शरीफ़ अजमेर।
6. क़ादरी दारुल इशाअ़त, 523 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली। 9312106345
7. मकतबा रहमानिया रज़विया दरगाह आ़ला हज़रत बरेली शरीफ़

फ़ेहरिस्त

अर्ज़े मुतर्जिम

ज़ेरे नज़र किताब बहारे शरीअ़त उर्दू ज़बान में बहुत मशहूर व मअ़रूफ़ किताब है हिन्दी ज़बान में अभी तक फ़िक़्ही मसाइल पर इतनी ज़ख़ीम किताब मन्ज़रे आ़म पर नहीं आई काफ़ी अ़र्से से ख़्वाहिश थी कि बहारे शरीअ़त मुकम्मल हिन्दी में तर्जमा की जाये ताकि हिन्दी दाँ हज़रत को फ़िक़्ही मसाइल पर पढ़ने के लिए तफ़्सीली किताब दस्तयाब हो सके।

मैंने इस किताब का तर्जमा करने में ख़ालिस हिन्दी अलफ़ाज़ का इस्तेमाल नहीं किया उस की वजह यह कि आज भी हिन्दुस्तान में आ़म बोलचाल की ज़बान उर्दू है अगर हिन्दी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता तो किताब और ज़्यादा मुश्किल हो जाती इसी लिए किताब के मुश्किल अलफ़ाज़ को आसान उर्दू में हिन्दी लिपि में लिखा गया है।

बहारे शरीअ़त उर्दू में बीस हिस्से तीन या चार जिल्दों में दस्तेयाब हैं अगर इस किताब का अच्छी तरह से मुताला कर लिया जाये तो मोमिन को अपनी जिन्दगी में पेश आने वाले तक़रीबान तमाम मसाइल की जानकारी हासिल हो सकती है। इस किताब में अ़क़ाइद मुआ़मलात तहारत, नमाज़, रोज़ा ,हज, ज़कात, निकाह, तलाक़, ख़रीद फ़रोख़्त ,अख़लाक़,ग़रज़ कि ज़रूरत के तमाम मसाइल का बयान है।

काफ़ी अ़र्से से तमन्ना थी कि मुकम्मल बहारे शरीअ़त हिन्दी में पेश की जाये ताकि हिन्दी दाँ हज़रात इस से फ़ायादा हासिल कर सकें बहारे शरीअ़त की बीस हिस्सों की कम्पोज़िंग मुकम्मल हो चुकी है जिस को दो जिल्दो में पेश करने का इरादा है।

कुछ मजबूरियों की वजह से दस हिस्सों की एक जिल्द पेश की ज़ारही है कुछ ही वक़्त के बाद बाक़ी दस हिस्सों की दूसरी जिल्द आप के सामने होगी यह हिन्दी में फ़िक़्ही मसाइल पर सब से ज़्यादा तफ़सीली किताब होगी कोशिश वह की गई है कि ग़लतियों से पाक किताब हो और मसाइल भी न बदल पाये अभी तक मार्केट में फ़िक़्ह के बारे में पाई जाने वाली हिन्दी की अकसर किताबों में मसाइल भी बदल गये हैं और उन के अनुवादकों को इस बात का एहसास तक न हो सका यह उन के दीनी तालीम से वाक़िफ़ न होने की वजह है। मगर शौक़ उनका यह है कि दीनी किताबों को हिन्दी में लायें उनको मेरा मश्वरा यह है कि अपना यह शौक़ पूरा करने के लिए बाक़ाएदा मदर्से में दीनी तालीम हासिल करें और किसी आ़लिमे दीन की शागिर्दी इख़्तेयार करें ताकि हिन्दी में सही तौर पर किताबें छापने का शौक़ पूरा हो सके।

फिर भी मुझे अपनी कम इल्मी का एहसास है। क़ारेईन किताब में किसी भी तरह की ग़लती पायें तो ख़ादिम को ज़रूर इत्तेलाअ़ करें ताकि अगले एडीशन में सुधार कर लिया जाये किताब को आसान करने की काफ़ी कोशिश की गई है फिर भी अगर कहीं मसअ्ला समझ में न आये तो किसी सुन्नी सहीहुल अ़क़ीदा आलिमे दीन से समझलें ताकि दीन का सही इल्म हासिल हो सके किताब का मुतालआ़ करने के दौरान उलमा से राब्ता रखें वक़्तन फ वक़्तन किताब में पेश आने वाले मसाइल को समझते रहें।

अल्लाह तआ़ला की बारगाह में दुआ़ है कि वह अपने हबीबे अकरम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम के सदक़े में इस किताब के ज़रीए क़ारेईन को भरपूर फ़ायदा अ़ता फ़रमाये और इस तर्जमे को मक़बूल व मशहूर फ़रमाये और मुझ ख़ताकार व गुनाहगार के लिए बख़्शिश का ज़रीआ़ बनाये आमीन!

ख़ादिमुल उलमा

मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

30 सितम्बर सन.2010

بسم اللہ الرحمن الرحیم

हज का बयान

अल्लाह तआला फ़रमाता है : –

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّ هُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ۚ فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَ مَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

तर्जमा :– " बे शक पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वह है जो मक्का में है बरकत वाला और हिदायत तमाम जहान के लिए उस में खुली हुई निशानियाँ हैं मकामे इब्राहीम और जो शख़्स उस में दाख़िल हो बा अमन है और अल्लाह के लिए लोगों पर बैतुल्लाह का हज है जो शख़्स रास्ते के एअ्तिबार से उसकी ताकत रखे और जो कुफ़्र करे तो अल्लाह सारे जहान से बेनियाज़ है"

और फ़रमाता है : –

وَ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ

तर्जमा :– "हज व उमरा को अल्लाह के लिए पूरा करो"।

हदीस न.1 :– सही मुस्लिम शरीफ़ में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख़ुतबा पढ़ा और फ़रमाया ऐ लोगो।! तुम पर हज फ़र्ज़ किया गया लिहाज़ा हज करो। एक शख़्स ने अर्ज़ की, क्या हर साल या रसूलल्लाह! हुज़ूर ने सुकूत फ़रमाया। उन्होंने तीन बार यह कलिमा कहा इरशाद फ़रमाया अगर मैं हाँ कह देता तो तुम पर वाजिब हो जाता और तुम से न हो सकता फ़िर फ़रमाया जब तक मैं किसी बात को बयान न करूँ तुम मुझसे सवाल न करो अगले लोग सवाल की ज़्यादती और फिर अम्बिया की मुख़ालफ़त से हलाक हुए लिहाज़ा जब मैं किसी बात का हुक्म दूँ तो जहाँ तक हो सके उसे करो और जब मैं किसी बात से मना करूँ तो उसे छोड़ दो।

हदीस न.2 :– सहीहैन में उन्हीं से मरवी हुज़ूरे अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की गई कौन अमल अफ़ज़ल है। फ़रमाया अल्लाह और रसूल पर ईमान, अर्ज़ की गई, फिर क्या? फ़रमाया हज्जे मबरूर यअ्नी मकबूल हज।

हदीस न.3 :– बुख़ारी व मुस्लिम व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा उन्हीं से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहिं वसल्लम फ़रमाते हैं जिसने हज किया और रफ़्स(फ़हश कलाम) न किया और फ़िस्क न किया तो गुनाहों से पाक हो कर ऐसा लौटा जैसे उस दिन कि माँ के पेट से पैदा हुआ।

हदीस न.4 :– बुख़ारी व मुस्लिम व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा उन्हीं से रावी उमरा से उमरा तक उन गुनाहों का कफ़्फ़ारा है जो दरमियान में हुए और हज्जे मबरूर का सवाब जन्नत ही है।

हदीस न.5 :– मुस्लिम व इब्ने ख़ुज़ैमा वग़ैरहुमा अम्र इब्ने आस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हज उन गुनाहों को दफ़ा कर देता है जो पेशतर (पहले) हुए हैं।

हदीस न.6 व 7 :— इब्ने माजा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हज कमज़ोरों के लिए जिहाद है। और उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से इब्ने माजा ने रिवायत की कि मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ! औरतों पर जिहाद ? फ़रमाया उनके ज़िम्मे वह जिहाद है जिसमें लड़ना नहीं। हज व उमरा और सहीहैन में उन्हीं से मरवी कि फ़रमाया तुम्हारा जिहाद हज है।

हदीस न.8 :— तिर्मिज़ी व इब्ने ख़ुज़ैमा व इब्ने हब्बान अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं हज व उमरा मुहताजी और गुनाहों को ऐसे दूर करते हैं जैसे भट्टी लोहे और चाँदी और सोने के मैल को दूर करती है और हज्जे मबरूर का सवाब जन्नत ही है।

हदीस न.9 :— बुख़ारी व मुस्लिम व अबू दाऊद व नसई व इब्ने माजा वग़ैराहुमा इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया रमज़ान में उमरा मेरे साथ हज के बराबर है।

हदीस न.10 :— बज़्ज़ार ने अबू मूसा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हाजी अपने घर वालों में से चार सौ की शफ़ाअत करेगा और गुनाहों से ऐसा निकल जायेगा जैसे उस दिन कि माँ के पेट से पैदा हुआ।

हदीस न.11व12 :— बैहक़ी अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि मैंने अबू क़ासिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना जो ख़ानए कअ्बा के क़स्द से आया और ऊँट पर सवार हुआ तो ऊँट जो क़दम अठाता और रखता है अल्लाह तआला उसके बदले उसके लिए नेकी लिखता है और ख़ता को मिटाता है और दरजे बलन्द फ़रमाता है। यहाँ तक कि जब कअ्बा मुअज़्ज़मा के पास पहुँचा और तवाफ़ किया और सफ़ा और मरवा के दरमियान सई की फिर सर मुंडाया या बाल कतरवाये तो गुनाहों से ऐसा निकल गया जैसे उस दिन कि माँ के पेट से पैदा हुआ। और उसी के मिस्ल अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी।

हदीस न.13 :— इब्ने ख़ुज़ैमा व हाकिम इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो मक्के से पैदल हज को जाये यहाँ तक कि मक्का वापस आये उसके लिए हर क़दम पर सात सौ नेकियाँ हरम शरीफ़ की नेकियों के मिस्ल लिखी जायेंगी, कहा गया हरम की नेकियों की क्या मिक़्दार है फ़रमाया हर नेकी लाख नेकी है तो इस हिसाब से हर क़दम पर सात करोड़ नेकियाँ हुईं और अल्लाह बड़े फ़ज़्ल वाला है।

दीस न.14 से 16 :— बज़्ज़ार ने जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हज व उमरा करने वाले अल्लाह के वफ़्द हैं अल्लाह ने उन्हें बुलाया यह हाज़िर हुए इन्होंने सवाल किया उसने इन्हें दिया। उसी के मिस्ल इब्ने उमर व अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी।

हदीस न.17 :— बज़्ज़ार व तबरानी अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया हाजी की मग़फ़िरत हो जाती है और हाजी जिस के लिए इस्तिग़फ़ार करे उसके लिए भी।

हदीस न.18 :— अस्बहानी इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं हज्जे फ़र्ज़ जल्द अदा करो कि क्या मअ़लूम क्या पेश आये और अबू दाऊद व दारमी की रिवायत में यूँ है जिस का हज का इरादा हो तो जल्दी करे।

हदीस न.19 :– तबरानी औसत में अबूज़र रदियल्लाहु तआ़ाला अ़न्हु से रावी कि नबी सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि दाऊद अ़लैहिस्सलाम ने अ़र्ज़ की ऐ अल्लाह! जब तेरे बन्दे तेरे घर की ज़्यारत को आयें तो उन्हें तू क्या अ़ता फ़रमायेगा। फ़रमाया हर ज़ाइर का उस पर हक़ है जिसकी ज़्यारत को जाये, उनका मुझ पर यह हक़ है कि दुनिया में उन्हें आफ़ियत दूँगा और जब मुझसे मिलेंगे तो उनकी मग़फ़िरत फ़रमा दूँगा।

हदीस न.20 :– तबरानी कबीर में और बज़्ज़ार इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ाला अ़न्हुमा से रावी कहते हैं मैं मस्जिदे मिना में नबी सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर था एक अन्सारी और एक सक़फ़ी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हो कर सलाम अ़र्ज़ किया फ़िर कहा या रसूलल्लाह। हम कुछ पूछने के लिये हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर हुए हैं। हुज़ूर ने फ़रमाया अगर तुम चाहो तो मैं बता दूँ कि क्या पूछने आये हो और अगर तुम चाहो तो मैं कुछ न कहूँ तुम्हीं सवाल करो, अ़र्ज़ की या रसूलल्लाहु! हमें बता दीजिए,हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया तू इसलिये हाज़िर हुआ है कि घर से निकल कर बैतुल हराम (कअ़बा शरीफ़)के इरादे से जाने को मुझसे पूछे और यह कि उसमें तेरे लिये क्या सवाब है और तवाफ़ के बअ़द दो रकअ़तें पढ़ने को और यह कि उसमें तेरे लिए क्या सवाब है और सफ़ा व मरवा के दरमियान सई को और अ़रफ़ा की शाम के वुकूफ़ को और तेरे लिए उस में क्या सवाब है और जमार की रमी को और उसमें तेरे लिए क्या सवाब है और क़ुर्बानी करने को और उसमें तेरे लिए क्या सवाब है और उसके साथ तवाफ़े इफ़ाज़ा को। उस शख़्स ने अ़र्ज़ की क़सम है उस ज़ात की जिसने हुज़ूर को हक़ के साथ भेजा इसीलिये हाज़िर हुआ था कि इन बातों को हुज़ूर से दरयाफ़्त करूँ ,इरशाद फ़रमाया जब तू बैतुल हराम के क़स्द से घर से निकलेगा तो ऊँट के हर क़दम रखने और हर क़दम अठाने पर तेरे लिये नेकी लिखी जायेगी और तेरी ख़ता मिटा दी जायेगी और तवाफ़ के बअ़द की दो रकअ़तें ऐसी हैं जैसे औलादे इस्माईल में कोई गुलाम हो उसके आज़ाद करने का सवाब,और सफ़ा व मरवा के दरमियान सई सत्तार गुलाम आज़ाद करने की मिस्ल है और अ़रफ़ा के दिन वुकूफ़ करने का हाल यह है कि अल्लाह तआ़ाला आसमाने दुनिया की तरफ़ ख़ास तजल्ली फ़रमाता है और तुम्हारे साथ मलाइका पर मुबाहात(फ़ख़्र)फ़रमाता है इरशाद फ़रमाता है मेरे बन्दे दूर–दूर से परागन्दा सर (बिखरे हुए बाल के साथ) मेरी रहमत के उम्मीदवार हो कर हाज़िर हुए अगर तुम्हारे गुनाह रेते की गिनती और बारिश के क़तरों और समुन्दर के झाग बराबर हों तो मैं सबको बख़्श दूँगा। मेरे बन्दो वापस जाओ तुम्हारी मग़फ़िरत हो गई और उसकी जिसकी तुम शफ़ाअ़त करो और जमरों पर रमी करने में हर कंकरी पर एक ऐसा कबीरा गुनाह मिटा दिया जायेगा जो हलाक करने वाला है और क़ुर्बानी करना तेरे रब के हुज़ूर तेरे लिये ज़ख़ीरा है और सर मुंडाने में हर बाल के बदले में नेकी लिखी जायेगी और एक गुनाह मिटाया जायेगा, उसके बअ़द ख़ानए कअ़बा के तवाफ़ का यह हाल है कि तू तवाफ़ कर रहा है और तेरे लिए कुछ गुनाह नहीं एक फ़रिश्ता आयेगा और तेरे शानों के दरमियान हाथ रख कर कहेगा कि आने वाले ज़माने में अ़मल कर और गुज़रे हुए ज़माने में जो कुछ किया था मुआफ़ कर दिया गया।

हदीस न. 21 :— अबू यअ्ला अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो हज के लिये निकला और मर गया तो क़ियामत तक उसके लिये हज करने वाले का सवाब लिखा जायेगा और जो उमरा के लिये निकला और मर गया उसके लिये क़ियामत तक उमरा करने वाले का सवाब लिखा जायेगा और जो जिहाद में गया और मर गया उसके लिए क़ियामत तक ग़ाज़ी का सवाब लिखा जायेगा।

हदीस न.22 :— तबरानी व अबू यअ्ला व दारेकुतनी व बैहकी उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो इस राह में हज या उमरा के लिए निकला और मर गया उस की पेशी नहीं होगी न हिसाब होगा और उस से कहा जायेगा तू जन्नत में दाख़िल हो जा।

हदीस न.23 :— तबरानी जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया यह घर इस्लाम के सुतूनों में से एक सुतून है फिर जिसने हज किया या उमरा वह अल्लाह की ज़मान (ज़िम्मे)में है,अगर मर जायेगा तो अल्लाह तआला उसे जन्नत में दाख़िल फरमायेगा और घर को वापस कर दे तो अज्र (सवाब) व ग़नीमत के साथ वापस करेगा।

हदीस न.24 व 25 :— दारमी अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसे हज करने से न ज़ाहिरी हाजत रुकावट बनी, न बादशाहे ज़ालिम, न कोई ऐसा मरज़ जो हज के लिए रोक दे फिर बग़ैर हज के मर गया तो चाहे यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर इसी की मिस्ल तिर्मिज़ी ने हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवयात की।

हदीस न.26 :— तिर्मिज़ी व इब्ने माजा इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी एक शख़्स ने अर्ज़ की क्या चीज़ हज को वाजिब करती है,फ़रमाया तोशा और सवारी।

हदीस न. 27 :— शरहे सुन्नत में उन्हीं से मरवी. किसी ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ! हाजी को कैसा होना चाहिये फरमाया परागन्दा सर,मैला, कुचैला। दूसरे ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ! हजका कौन सा अमल अफ़ज़ल है, फरमाया बलन्द आवाज़ से लब्बैक कहना और कुर्बानी करना। किसी और ने अर्ज़ की सबील क्या है, फ़रमाया तोशा और सवारी।

हदीस न.28 :— अबू दाऊद व इब्ने माजा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रावी कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाह तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना जो मस्जिदे अक़सा से मस्जिदे हराम तक हज या उमरा का एहराम बाँध कर आया उसके अगले-पिछले गुनाह सब बख़्श दिये जायेंगे या उसके लिये जन्नत वाजिब होगी।

हज के मसाइल

हज नाम है एहराम बाँध कर नवीं ज़िलहिज्जा को अरफ़ात में ठहरने और कअ्बा शरीफ़ के तवाफ़ का, और उसके लिये एक खास वक़्त मुकर्रर है कि उसमें यह अफ़आल (काम)किये जायें तो हज है। सन 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ उसकी फ़र्ज़ियत कतई है जो उसकी फ़र्ज़ियत का इन्कार करे काफ़िर है मगर उम्र में सिर्फ एक बार फ़र्ज़ है। (आलमगीरी, स. 139 दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— दिखावे के लिये हज करना और माले हराम से हज को जाना हराम है। हज को

जाने के लिये जिससे इजाज़त लेना वाजिब है बग़ैर उसकी इजाज़त के जाना मकरूह है। मसलन माँ–बाप अगर उसकी ख़िदमत के मोहताज हों और माँ– बाप न हों तो दादा–दादी का भी यही हुक्म है यह हज्जे फ़र्ज़ का हुक्म है और हज्जे नफ़्ल हो तो मुतलक़न वालिदैन की इताअ़त करे। (रद्दुल मुहतार स. 140)

मसअ्ला :– लड़का ख़ुबसूरत अमरद हो तो जब तक दाढ़ी न निकले बाप उसे मना कर सकता है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जब हज के लिए जाने पर क़ुदरत हो हज फ़ौरन फ़र्ज़ हो गया यअ्नी उसी साल में और अब देर करना गुनाह है और कुछ बर्षों तक न किया तो फ़ासिक़ है और उसकी गवाही मरदूद मगर जब करेगा अदा ही है क़ज़ा नहीं। (दुर्रे मुख़्तार स. 140)

मसअ्ला :– माल मौजूद था और हज न किया फिर वह माल तल्फ़ (बर्बाद)हो गया तो क़र्ज़ लेकर जाये अगर्चे जानता हो कि यह क़र्ज़ अदा न होगा मगर नियत यह हो कि अल्लाह तआ़ला क़ुदरत देगा तो अदा कर दूँगा फिर अगर अदा न हो सका और नियत अदा की थी तो उम्मीद है कि मौला तआ़ला उस पर पकड़ न फ़रमाये। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– हज का वक़्त शव्वाल से दसवीं ज़िलहिज्जा तक है कि उससे पेशतर हज के अफ़आ़ल नहीं हो सकते सिवा एहराम के कि एहराम उससे पहले भी हो सकता है अगर्चे मकरूह है। (दुर्रे मुख़्तार)

हज वाजिब होने के शराइत

मसअ्ला :– हज वाजिब होने की आठ शर्तें हैं जब तक वह सब न पाई जायें हज फ़र्ज़ नहीं:–

(1)इस्लाम लिहाज़ा अगर मुसलमान होने से पहले इस्तिताअ़त थी फिर फ़क़ीर हो गया तो इस्लाम लाने के बअ्द हज फ़र्ज़ न होगा कि इस्तिताअ़त थी उसका अहल न था और अब कि अहल हुआ इस्तिताअ़त नहीं और मुसलमान को अगर इस्तिताअ़त थी और हज न किया था अब फ़क़ीर हो गया तो अब भी फ़र्ज़ है। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार स. 141)

मसअ्ला हज करने के बअ्द मआ़ज़ल्लाह मुरतद हो गया फिर इस्लाम लाया तो अगर इस्तिताअ़त हो तो फिर हज करना फ़र्ज़ है कि मुरतद होने से हज वग़ैरा सब अअ्माल बातिल हो गये (आ़लमगीरी)यूँही अगर हज करते में मुरतद हो गया तो एहराम बातिल हो गया और अगर काफ़िर ने एहराम बाँधा था फिर इस्लाम लाया अगर फिर से एहराम बाँधा और हज किया तो हो गया वर्ना नहीं।

(2)दारुलहरब में हो तो वह भी ज़रूरी है कि जानता हो कि इस्लाम के फ़राइज़ में हज है लिहाज़ा जिस वक़्त इस्तिताअ़त थी यह मसअ्ला मअ्लूम न था और जब मअ्लूम हुआ उस वक़्त इस्तिताअ़त न हो तो फ़र्ज़ न हुआ और जानने का ज़रीआ़ यह है कि दो मर्दों या एक मर्द और दो औरतों ने जिनका फ़ासिक़ होना न ज़ाहिर हो उसे ख़बर दें और एक आ़दिल ने ख़बर दी जब भी वाजिब हो गया और दारुल इस्लाम में तो अगर्चे फ़र्ज़ होना मअ्लूम न हो फ़र्ज़ हो जायेगा कि दारुल इस्लाम में फ़राइज का इल्म न होना उज़्र नहीं। (आलमगीरी स. 141)

(3)बालिग़ होना नाबालिग़ ने हज किया यअ्नी अपने आप जब कि समझदार हो या उस के वली ने उस की तरफ़ से एहराम बाँधा हो जब कि नासमझ हो या बहरहाल वह हज्जे नफ़्ल हुआ

हज्जतुल इस्लाम यअ्नी हज्जे फ़र्ज़ की जगह नहीं हो सकता।

मसअ्ला :– नाबालिग़ ने हज का एहराम बाँधा और अ़रफ़ात में ठहरने से पेशतर (पहले)बालिग़ हो गया तो अगर उसी पहले एहराम पर रहा तो हज्जे नफ़्ल हुआ हज़्ज़तुल इस्लाम न हुआ और अगर सिरे से एहराम बाँध कर वुकूफ़े अ़रफ़ा किया तो हज्जतुल इस्लाम हुआ। (आलमगीरी स. 140)

(4) आ़क़िल होना मजनून पर फ़र्ज़ नहीं।

पागल था और वकूफ़े अ़रफ़ा से पहले पागल पंन जाता रहा और नया एहराम बाँध कर हज किया तो यह हज हज्जतुल इस्लाम हो गया वर्ना नहीं,बोहरा यअ्नी बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ मजनून के हुक्म में है। (आलमगीरी,रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला :– हज करने के बअ्द मजनून हुआ फिर अच्छा हुआ तो उस जुनून का हज पर कोई असर नहीं यअ्नी अब उसे दोबारा हज करने की ज़रूरत नहीं अगर एहराम के वक़्त अच्छा था फिर मजनून हो गया और उसी हालत में अफ़आ़ल अदा किए फिर बरसों के बअ्द होश में आया तो हज्जे फ़र्ज़ अदा हो गया।(मुनसक)

(5)आज़ाद होना बाँदी, ग़ुलाम पर हज फ़र्ज़ नहीं अगर्चे मुदब्बिर या मुकातिब या उम्मे वलद हों,अगर्चे उनके मालिक ने हज करने की इजाज़त दी हो अगर्चे यह मक्का ही में हों।

मसअ्ला :– ग़ुलाम ने अपने मौला के साथ हज किया तो यह हज्जे नफ़्ल हुआ हज्जतुल इस्लाम न हुआ। आज़ाद होन के बअ्द अगर शराइत़ पाये जायेंगे तो फिर करना होगा और अगर मौला के साथ जाता था रास्ते में उसे आज़ाद कर दिया तो अगर एहराम से पहले आज़ाद हुआ अब एहराम बाँध कर हज कियां तो हज्जतुलइस्लाम अदा हो गया और एहराम बाँधने के बअ्द हुआ तो हज्जतुलइस्लाम न होगा अगर्चे नया एहराम बाँध कर हज किया हो। (आलमगीरी)

(6)तन्दुरुस्त हो कि हज को जा सके अअ्ज़ा सलामत हों,अंखियारा हो,अपाहिज और फ़ालिज वाले और जिसके पाँव कटे हों और बूढ़े पर कि सवारी पर खुद न बैठ सकता हो हज फ़र्ज़ नहीं, यूँही अन्धे पर भी वाजिब नहीं अगर्चे हाथ पकड़ कर ले चलने वाला उसे मिले इन सब पर यह भी वाजिब नहीं कि किसी को भेज कर अपनी तरफ़ से हज करा दें या फिर वसीयत कर जायें और अगर तकलीफ़ अठाकर हज कर लिया तो सही हो गया और हज्जतुल इस्लाम अदा हुआ यअ्नी इसके बअ्द अगर अअ्ज़ा दुरुस्त हो गये तो अब दोबारा हज फ़र्ज़ न होगा वही पहला हज काफ़ी है। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– अगर पहले तन्दरुस्त था और दीगर शराइत़ भी पाये जाते थे और हज न किया फिर अपाहिज वग़ैरा हो गया कि हज नहीं कर सकता तो इस पर वह हज्जे फ़र्ज़ बाक़ी है खुद न कर सके तो हज्जे बदल कराये। (आलमगीरी वग़ैरा स. 141)

(7) सफ़र ख़र्च का मालिक हो और सवारी पर क़ादिर हो ख़्वाह सवारी उसकी मिल्क हो या उसके पास इतना माल हो कि किराये पर ले सके।

मसअ्ला :– किसी ने हज के लिए उसको इतना माल मुबाह कर दिया कि हज कर ले तो हज फ़र्ज़ न हुआ कि इबाहत(यअ्नी किसी के लिए कोई चीज़ इस तरह जाइज़ करना कि वह दूसरे को

न दे सके)से मिल्क नहीं होती और फ़र्ज़ होने के लिए मिल्क दरकार है ख़्वाह मुबाह करने वाले का इस पर एहसान हो जैसे ग़ैर लोग या न हो जैसे माँ–बाप,औलाद यूँही अगर मंगनी के तौर पर सवारी मिल जायेगी जब भी फ़र्ज़ नहीं। (आलमगीरी वग़ैरा स. 140)

मसअला :– किसी ने हज के लिए माल हिबा किया तो क़बूल करना उस पर वाजिब नहीं देने वाला अजनबी हो या माँ बाप, औलाद वग़ैरा ,मगर क़बूल कर लेगा तो हज वाजिब हो जायेगा।(आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला :– सफ़र–ख़र्च और सवारी पर क़ादिर होने के यह मअ्ना हैं कि यह चीज़ें उसकी हाजत से फ़ाज़िल (ज़्यादा)हों यअ्नी मकान व लिबास व ख़ादिम और सवारी का जानवर और पेशे के औज़ार और ख़ानादारी के सामान और दैन (क़र्ज़) से इतना ज़ाइद हो कि सवारी पर मक्का मुअ़ज़्ज़मा जाये और वहाँ से सवारी पर वापस आये और जाने से वापसी तक इयाल(बाल–बच्चों)का नफ़्क़ा और मकान की मरम्मत के लिए काफ़ी माल छोड़ जाये और जाने–आने में अपने नफ़्क़ा और घर अहलो इयाल के नफ़्क़े में दरमियानी मिक़दार का एअ्तिबार है न कमी हो न इसराफ़ (फ़िज़ूलख़र्ची)इयाल से मुराद वह लोग हैं जिनका नफ़्क़ा उस पर वाजिब है यह ज़रूरी नहीं कि आने के बअ्द भी वहाँ और यहाँ के ख़र्च के बअ्द कुछ बाक़ी बचे। (दुर्रे मुख़्तार, स. 143 आलमगीरी स. 140)

मसअला :– सवारी से मुराद उस क़िस्म की सवारी है जो उरफ़न और आदतन उस शख़्स के हाल के मुवाफ़िक़ हो मसलन अगर मुतमव्विल(मालदार)आराम पसन्द हो तो उसके लिए शक़दफ़ (कार वग़ैरा) दरकार होगी। यूँही तोशा में उसके मुनासिब ग़िज़ायें (खाने–पीने की चीज़ें)चाहिए,मअ्मूली खाना मयस्सर आना फ़र्ज़ होने के लिए काफ़ी नहीं जबकि वह अच्छी ग़िज़ा का आदी है। (मुनसक)

मसअला :– जो लोग हज को जाते हैं वह दोस्त ,अहबाब के लिए तोहफ़ा लाया करते हैं यह ज़रूरियात में नहीं यअ्नी अगर किसी के पास इतना माल है जो ज़रूरियात बताये गये उनके लिए और आने जाने के अख़राजात (ख़र्च)के लिए काफ़ी हैं मगर कुछ बचेगा नहीं कि अहबाब वग़ैरा के लिए तोहफ़ा लाये जब भी हज फ़र्ज़ है। इसकी वजह से हज न करना हराम है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जिसकी बसर औक़ात तिजारत पर है और इतनी हैसियत हो गई कि उसमें से जाने–आने का ख़र्च और वापसी तक बाल–बच्चों की ख़ुराक निकाल ले तो इतना बाक़ी रहेगा जिससे अपनी तिजारत ब–क़द्र अपनी गुज़र के कर सके तो हज फ़र्ज़ है वर्ना नहीं,और अगर वह काश्तकार है तो इन सब अख़राजात के बअ्द इतना बचे कि खेती के सामान हल बैल वग़ैरा के लिए काफ़ी हो तो हज फ़र्ज़ है और पेशे वालों के लिए उनके पेशे के सामान के लाइक़ बचना ज़रूरी है। (आलमगीरी स 140 ,दुर्रे मुख़्तार स 143)

मसअला :– सवारी में यह भी शर्त है कि ख़ास इसके लिए हो अगर दो शख़्सो में मुश्तरक है कि बारी–बारी दोनों थोड़ी–थोड़ी दूर सवार होते हैं तो यह सवारी पर कुदरत नहीं और हज फ़र्ज़ नहीं, यूँही अगर इतनी कुद्रत है कि एक मंज़िल के लिए मसलन किराये पर जानवर ले फिर एक मंज़िल पैदल चले और इसी तरह एक मंज़िल पैदल और एक मंज़िल सवारी पर सफ़र करके मक्का मुअ़ज़्ज़मा पहुँच सकता हो तो यह सवारी पर कुदरत नहीं।(आलमगीरी स. 140) मगर इसका यह मतलब नहीं कि अगर कोई इस तरह हज करे तो उसका हज ही अदा न हो बल्कि अगर कोई पैदल ही हज करे जब भी हज्जे फ़र्ज़ अदा हो जायेगा बल्कि सिर्फ़ यह मतलब है कि अगर कोई इतनी कुदरत पर हज न करे तो गुनाहगार नहीं। चन्द लोगों के दरमियान गाड़ी मुश्तरक होने का

रिवाज हो तो हज फ़र्ज़ होगा इसलिए कि सवारी पर कुदरत हो गई। (मुनसक)
मसअ्ला :– मक्का मुअ़ज़्ज़मा से तीन दिन से कम की राह वालों के लिए सवारी शर्त़ नहीं अगर पैदल चल सकते हों तो उन पर हज फ़र्ज़ है अगर्चे सवारी पर क़ादिर न हों और अगर पैदल न चल सकें तो उनके लिए भी सवारी पर कुदरत शर्त़ है। (आलमगीरी स. 140 ,दुर्रे मुख़्तार स. 142)
मसअ्ला :– मीक़ात से बाहर का रहने वाला जब मीक़ात तक पहुँच जाये और पैदल चल सकता हो तो सवारी उसके लिए शर्त़ नहीं लिहाज़ा अगर फ़क़ीर हो जब भी उसे ह़ज्जे फ़र्ज़ की नियत करनी चाहिए नफ़्ल की नियत करेगा तो उस पर दोबारा हज करना फ़र्ज़ होगा और मुतलक़न हज की नियत की यअ्नी फ़र्ज़ या नफ़्ल कुछ मुअय्यन न किया तो फ़र्ज़ अदा हो गया (मुनसक, रद्दुल मुह्तार स.142)
मसअ्ला :– इसकी ज़रूरत नहीं कि (प्राइवेट टैक्सी या कार)(आराम की सवारियों) का किराया अदा करने की कुदरत रखता हो बल्कि मुश्तरक बस, वैगन या टैक्सी पर सफ़र करने की इस्तिताअ़त रखता हो तो फ़र्ज़ है इसलिए कि किराया अदा करने की कुदरत साबित हो गई।(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुह्तार)
मसअ्ला :– मक्का और मक्के से क़रीब वालों को सवारी की ज़रूरत हो तो ख़च्चर या गधे के किराए पर क़ादिर होने से भी सवारी पर कुदरत हो जायेगी अगर उस पर सवार हो सकें, ब–ख़िलाफ़ दूर वालों के कि उनके लिए ऊँट का किराया ज़रूरी है कि दूर वालों के लिए खच्चर वग़ैरा सवार होने और सामान लादने के लिए काफ़ी नहीं और यह फ़र्क़ हर जगह मलहूज़ रहना चाहिए। (रद्दुल मुह्तार)
मसअ्ला :– पैदल की ताक़त हो तो पैदल ह़ज करना अफ़ज़ल है। ह़दीस में है जो पैदल ह़ज करे उसके लिए हर क़दम पर सात सौ नेकियाँ हैं। (रद्दुल मुह्तार 143)
मसअ्ला :– फ़क़ीर ने पैदल ह़ज किया फिर मालदार हो गया तो उस पर दूसरा ह़ज नहीं।(आलमगीरी)
मसअ्ला :– इतना माल है कि उससे ह़ज कर सकता है मगर उससे निकाह़ करना चाहता है तो निकाह़ न करे बल्कि ह़ज करे कि ह़ज फ़र्ज़ है यअ्नी जबकि ह़ज का ज़माना आ गया और अगर पहले निकाह़ में ख़र्च कर डाला और मुजर्रद यअ्नी बग़ैर बीवी के रहने में गुनाह का ख़ौफ़ था तो ह़रज नहीं (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)
मसअ्ला :– रहने का मकान, ख़िदमत के ग़ुलाम पहनने के कपड़े और बरतने का सामान है तो ह़ज फ़र्ज़ नहीं यअ्नी लाज़िम नहीं कि उन्हें बेच कर ह़ज करे और अगर मकान है मगर उसमें रहता नहीं, ग़ुलाम है मगर उस से ख़िदमत नहीं लेता तो बेच कर ह़ज करे और अगर उसके न मकान है न ग़ुलाम वग़ैरा और रुपया है जिससे ह़ज कर सकता है मगर मकान वग़ैरा ख़रीदने का इरादा है और ख़रीदने के बअ्द ह़ज के लाइक़ न बचेगा तो फ़र्ज़ है कि ह़ज करे और दूसरी बातों में उठाना गुनाह है यअ्नी उस वक़्त कि शहर वाले ह़ज को जा रहे हों और अगर पहले मकान वग़ैरा ख़रीदने में उठा दिया तो ह़रज नहीं। (आलमगीरी स. 140 दुर्रे मुख़्तार स.143)
मसअ्ला :– कपड़े जिन्हें इस्तेअ्माल में नहीं लाता उन्हें बेच डाले तो ह़ज कर सकता है तो बेचे और ह़ज करे और मकान बड़ा है जिसके एक ह़िस्से में रहता है बाक़ी फ़ाज़िल पड़ा है तो यह ज़रूरी नहीं कि फ़ाज़िल (ज़्यादा) को बेच कर ह़ज करे। (आलमगीरी स. 140)
मसअ्ला :– जिस मकान में रहता है अगर उसे बेचकर उससे कम हैसियत का ख़रीदे तो इतना रुपया बचेगा कि ह़ज कर ले तो बेचना ज़रूरी नहीं मगर ऐसा करे तो अफ़ज़ल है। लिहाज़ा मकान

बेचकर हज करना और किराये के मकान में गुज़र करना तो और ज़्यादा ज़रूरी नहीं।(आलमगीरी स140)

मसअ्ला :– जिसके पास साल भर के ख़र्च का ग़ल्ला हो तो यह लाज़िम नहीं कि बेच कर हज को जाये और अगर उससे ज़ाइद (ज़्यादा) है तो अगर ज़ाइद के बेचने में हज का सामान हो सकता है तो फ़र्ज़ है वर्ना नहीं। (मुनसक)

मसअ्ला :– दीनी किताबें अगर अहले इल्म के पास हैं और उसके काम में रहती हैं तो उन्हें बेचकर हज करना ज़रूरी नहीं और बेइल्म के पास हैं और इतनी हैं कि अगर बेचे तो हज कर सकेगा तो उस पर हज फ़र्ज़ है। यूँही तिब (हिकमत, डाक्टरी)व रियाज़ी (गणित)वग़ैरा की किताबें अगर्चे काम में रहतीं हों अगर बेचकर हज कर सकता है तो हज फ़र्ज़ है।(आलमगीरी स. 140,रद्दुल मुहतार स. 143)

(8)**वक़्त** यअ्नी हज के महीनों में तमाम शराइत़ पाये जायें और दूर रहने वाला हो तो जिस वक़्त वहाँ के लोग जाते हों उस वक़्त शराइत़ पाये जायें और अगर शराइत़ ऐसे वक़्त पाये गये कि अब नहीं पहुँचेगा और तेज़ी और रवा–रवी करके जाये तो पहुँच जायेगा जब भी फ़र्ज़ नहीं और यह भी ज़रूरी है कि नमाज़ें पढ़ सके और अगर इतना वक़्त है कि नमाज़ें वक़्त में पढ़ेगा तो न पहुँचेगा और न पढ़े तो पहुँच जायेगा तो फ़र्ज़ नहीं। (रद्दुल मुहतार स. 141)

वुजूबे अदा के शराइत़

यहाँ तक हज के फ़र्ज़ की शर्तों का बयान हुआ और अदा करने की शर्तें कि जब वह पाई जायें तो खुद हज को जाना ज़रूरी है और सब शर्तें न पाई जायें तो ख़ुद जाना ज़रूरी नहीं बल्कि दूसरे से हज करा सकता है या वसीयत कर जाये मगर उसमें यह भी ज़रूरी है कि हज कराने के बअ्द आख़िर उम्र तक खुद क़ादिर न हो वर्ना ख़ुद भी ज़रूरी होगा।

शराइत़ (शर्तें) यह हैं :– (1) **रास्ते में अमन** होना यअ्नी अगर ग़ालिब गुमान सलामती हो तो जाना वाजिब और ग़ालिब गुमान यह हो कि डाके वग़ैरा से जान ज़ाये हो जायेगी तो जाना ज़रूरी नहीं, जाने के ज़माने में अमन होना शर्त़ है पहले की बदअमनी क़ाबिले लिहाज़ नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर बदअमनी के ज़माने में इन्तिक़ाल हो गया और वुजूब के शराइत़ पाये जाते थे तो हज्जे बदल की वसीयत ज़रूरी है और अमन के होने के बअ्द इन्तिक़ाल हुआ तो और ज़्यादा वसीयत वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार स. 144)

मसअ्ला :– अगर अमन के लिए कुछ रिश्वत देना पड़े जब भी जाना वाजिब है और यह अपने फ़राइज़ अदा करने के लिए मजबूर है लिहाज़ा उस देने वाले पर मुआख़ज़ा नहीं।(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– रास्ते में चुँगी लेते हों तो यह अमन के मनाफ़ी नहीं और न जाने के लिए उ़ज़्र नहीं। (दुर्रे मुख़्तार स. 145) यूँही टीका कि आजकल हुज्जाज को लगाये जाते हैं यह भी उ़ज़्र नहीं। **(2)औ़रत** को मक्का तक जाने में तीन दिन या ज़्यादा का रास्ता हो तो उस के साथ शौहर या **महरम होना शर्त़** है ख़्वाह वह औ़रत जवान हो या बुढ़िया और तीन दिन से कम की राह हो तो बग़ैर महरम और शौहर के भी जा सकती है। महरम से मुराद वह मर्द है जिससे हमेशा के लिए उस औ़रत का निकाह़ हराम है ख़्वाह नसब की वजह से निकाह़ ह़राम हो जैसे बाप, बेटा भाई वग़ैरा या दूध के रिश्ते से निकाह़ की हुरमत हो जैसे रज़ाई भाई ,बाप बेटा वग़ैरा या सुसराली रिश्ते से हुरमत आई जैसे ख़ुसर, शौहर का बेटा वग़ैरा। शौहर या महरम जिसके साथ सफ़र कर सकती है उसका आ़क़िल, बालिग, ग़ैर फ़ासिक़ होना शर्त़ है। मजनून या नाबालिग़ या फ़ासिक़ के साथ नहीं जा सकती आज़ाद या मुसलमान होना शर्त़ नहीं अलबत्ता मजूसी जिसके एअ्तिक़ाद में महरम से निकाह़ जाइज़ है उसके साथ सफ़र नहीं कर सकती, मुराहिक़ व मुराहिक़ा यअ्नी लड़का और

लड़की जो बालिग़ होने के क़रीब हों बालिग़ के हुक्म में हैं यअ्नी मुराहिक़ के साथ जा सकती है और मुराहिक़ा को भी बग़ैर महरम या शौहर के सफ़र मनअ् है। (जौहरा, आलमगीरी स 145 , दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औ़रत का ग़ुलाम उसका मह़रम नहीं कि उसके साथ भी निकाह का ह़राम होना हमेशा के लिए नहीं कि अगर आज़ाद कर दे उससे निकाह़ कर सकती है। (जौहरा)

मसअ्ला :– बाँदियों को बग़ैर मह़रम के सफ़र जाइज़ है। (जौहरा)

नोट :– इस ज़माने में फ़तवा इस पर है कि बिग़ैर मह़रम के बाँदी को सफ़र नाजाइज़ है–(क़ादरी)

मसअ्ला :– अगर्चे ज़िना से हमेशा के लिए निकाह ह़राम हो जाता है मसलन जिस औ़रत से मआज़ल्लाह ज़िना किया उसकी लड़की से निकाह नहीं कर सकता मगर उस लड़की को उसके साथ सफ़र करना जाइज़ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार स. 145)

मसअ्ला :– औ़रत बग़ैर मह़रम या शौहर के ह़ज को गई तो गुनाहगार हुई मगर ह़ज करेगी तो ह़ज हो जायेगा। (जौहरा)

मसअ्ला :– औ़रत के न शौहर है न मह़रम तो उस पर यह वाजिब नहीं कि ह़ज के जाने के लिए निकाह़ कर ले और जब मह़रम है तो ह़ज्जे फ़र्ज़ के लिए मह़रम के साथ जाये अगर्चे शौहर इजाज़त न देता हो नफ़्ल और मन्नत का ह़ज हो तो शौहर को मनअ् करने का इख़्तियार है। (जौहरा)

मसअ्ला :– मह़रम के साथ जाये तो उसका नफ़्क़ा औ़रत के ज़िम्मे है लिहाज़ा अब शर्त़ यह है कि अपने और उसके दोनों के नफ़्क़े पर क़ादिर हो। (दुर्रे मुख़्तार , रद्दुल मुहतार)

(3)जाने के ज़माने में औ़रत इद्दत में न हो वह इद्दत वफ़ात की हो या त़लाक़ की बाइन की हो या रजई की। (4) क़ैद में न हो मगर जब किसी ह़क़ की वजह से क़ैद में हो और उस के अदा करने पर क़ादिर हो तो यह उ़ज़्र नहीं और बादशाह अगर ह़ज के जाने से रोकता हो तो यह उ़ज़्र है। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

सेह़ते अदा के शराइत़

ह़ज सह़ी अदा होने के लिए नौ शर्तें हैं कि वह न पाई जायें तो ह़ज स़ही नहीं–

1. **इस्लाम** : काफ़िर ने ह़ज किया तो न हुआ। 2. **एह़राम** : बग़ैर एह़राम ह़ज नहीं।

3. **ज़माना** : यअ्नी ह़ज के लिए जो ज़माना मुक़र्रर है उससे पहले ह़ज के काम नहीं हो सकते मसलन त़वाफ़े क़ुदूम व सई कि ह़ज के महीनों से पहले नहीं हो सकते और वुक़ूफ़े अ़रफ़ा नवीं के ज़वाल से पहले या दसवीं की सुबह होने के बाद नहीं हो सकता और त़वाफ़े ज़्यारत दसवीं से पहले नहीं हो सकता।

4. **मकाने तवाफ़** :– यअ्नी त़वाफ़ करने की जगह मिस्जदे ह़राम शरीफ़ है और वुक़ूफ़ के लिए अ़रफ़ात व मुज़दलेफ़ा, कंकरी मारने के लिए मिना, क़ुर्बानी के लिए ह़रम यअ्नी जिस फ़ेल के लिए जो जगह मुक़र्रर है वह वहीं होगा। 5. **तमीज़** । 6. **अ़क़्ल** :जिसमें तमीज़ न हो जैसे नासमझ बच्चा जिसमें अ़क़्ल न हो जैसे मजनून यह खुद ह़ज के काम नहीं कर सकते जिन में नियत की ज़रूरत है मसलन एह़राम या त़वाफ़ बल्कि उनकी त़रफ़ से कोई और करे और जिस फ़ेल में नियत शर्त़ नहीं जैसे वुक़ूफ़े अ़रफ़ा वह यह खुद कर सकते हैं। 7.**फ़राइज़े** ह़ज का बजा लाना मगर जबकि उ़ज़्र हो। 8. **एह़राम** के बअ्द और वुक़ूफ़ से पहले जिमाअ् यअ्नी हमबिस्तरी न करना अगर जिमाअ् होगा तो ह़ज बात़िल हो जायेगा। **9.जिस साल एह़राम बाँधा** उसी साल ह़ज करना, लिहाज़ा अगर उस साल ह़ज फ़ौत हो गया तो उ़मरा करके एह़राम खोल दे और आने वाले साल नये एह़राम से

हज करे और अगर एहराम न खोला बल्कि उसी एहराम से हज किया तो हज न हुआ। हज्जे फ़र्ज़ अदा होने के लिए नौ शर्ते हैं। (1) **इस्लाम** (2) **मरते** वक़्त तक इस्लाम पर ही रहना (3)**आकिल होना**(4)**बालिग़** होना(5)**आज़ाद** होना(6)**अगर** क़ादिर हो तो खुद ही अदा करना (7)**नफ़्ल** की नियत न होना **(8)दूसरे की तरफ़** से हज करने की नियत न होना **(9)फ़ासिद न करना** इसकी बहुत तफ़सील ज़िक्र हो चुकी है और कुछ आइन्दा आयेगी।

हज के फ़राइज़

मसअ्ला :– हज में यह चीज़ें फ़र्ज़ हैं 1. **एहराम** कि यह शर्त है। 2. **वुकूफ़े अरफ़ा** यअ्नी नवीं ज़िलहिज्जा के आफ़ताब ढलने से दसवीं की सुबहे सादिक़ से पहले तक किसी वक़्त अरफ़ात में ठहरना। 3. **तवाफ़े ज़्यारत** का अक्सर हिस्सा यअ्नी चार फेरे पिछली दोनों चीज़ें यअ्नी वुकूफ़ व तवाफ़ रुक्न हैं। 4. **नियत** 5. **तरतीब** यअ्नी पहले एहराम बाँधना फिर वुकूफ़ फिर तवाफ़। 6. **हर फ़र्ज़** का अपने वक़्त पर होना यअ्नी वुकूफ़ उस वक़्त होना जो ज़िक्र हुआ उस के बअ्द तवाफ़ इस का वुकूफ़ के बअ्द से आख़िर उम्र तक है। 7. **मकान** यअ्नी वुकूफ़ ज़मीने अ़रफ़ात में होना सिवा बत़्ने उ़रना के (बत़्ने उ़रना मैदाने अ़रफ़ात में या उसके क़रीब एक जगह है उसको छोड़ कर अ़रफ़ात में जहाँ चाहें ठहरे),और तवाफ़ का मकान मस्जिदे हराम शरीफ़ है। (दुर्रे मुख़्तार ,रद्दुल मुहतार)

हज के वाजिबात

मसअ्ला :– हज के वाजिबात यह हैं (1)मीक़ात से एहराम बाँधना यअ्नी मीक़ात से बग़ैर एहराम न गुज़रना और अगर मीक़ात से पहले ही एहराम बाँध लिया तो जाइज़ है। (2)सफ़ा व मरवा के दरमियान दौड़ना इसको सई कहते हैं।(3) सई को सफ़ा से शुरूअ् करना और अगर मरवा से शुरूअ् की तो पहला फेरा शुमार न किया जाये उसका इआदा करे यअ्नी दोबारा करे। (4) अगर उ़ज़्र न हो तो पैदल सई करना, सई का तवाफ़ के अक्सर फेरे के बअ्द यअ्नी कम अज़ कम चार फेरों के बाद होना।(5) दिन में वुकूफ़ किया तो इतनी देर तक वुकूफ़ करे कि आफ़ताब डूब जाये ख़्वाह आफ़ताब ढलते ही शुरूअ् किया हो या बाद में ग़रज़ सूरज के डूबने तक वुकूफ़ में मशग़ूल रहे और अगर रात में वुकूफ़ किया तो इसके लिए किसी ख़ास हद तक वुकूफ़ करना वाजिब नहीं मगर वह इस वाजिब का तारिक (छोड़ने वाला) हुआ कि दिन में ग़ुरूब तक वुकूफ़ करता। (6)वुकूफ़ में रात का कुछ जुज़ (हिस्सा) आ जाना। (7)अ़रफ़ात से वापसी में इमाम की मुताबअ़त (पैरवी)करना यअ्नी जब तक इमाम वहाँ से न निकले यह भी न चले हाँ अगर इमाम ने वक़्त से ताख़ीर (देर)की तो इसे इमाम के पहले चला जाना जाइज़ है और अगर भीड़ वग़ैरा किसी ज़रूरत से इमाम के चले जाने के बाद ठहर गया साथ न गया जब भी जाइज़ है।(8)मुज़दलेफ़ा में ठहरना।(9)मग़रिब व इशा की नमाज़ वक़्ते इशा में मुज़दलेफ़ा में आकर पढ़ना। (10)तीनों जमरों पर दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं तीनों दिन कंकरियाँ मारना यअ्नी दसवीं को सिर्फ़ जमरतुल अ़क़बा पर और ग्यारहवीं, बारहवीं को तीनों पर रमी करना यअ्नी कंकरियाँ मारना। (11)जमरतुल अ़क़बा की रमी पहले दिन हल्क़ यअ्नी सर के बाल मुँडाने से पहले होना। (12) हर रोज़ की रमी का उसी दिन होना (13) सर मुंडाना या बाल कतरवाना (14)और उसका अय्यामे नहर यानी क़ुर्बानी के दिनों में और (15) हरम शरीफ़ में होना अगर्चे मिना में न हो। (16)क़िरान व तमत्तोअ् वाले को क़ुर्बानी करना। (17)और उस क़ुर्बानी का हरम और अय्यामे नहर में होना।(18)तवाफ़े इफ़ाज़ा का अक्सर हिस्सा अय्यामे नहर में होना। अ़रफ़ात से वापसी के बाद जो तवाफ़ किया जाता है उसका नाम तवाफ़े इफ़ाज़ा है और इसे तवाफ़े

ज़्यारत भी कहते हैं तवाफ़े ज़्यारत के अक्सर हिस्से से जितना ज़ाइद है यअ्नी तीन फ़ेरे अय्यामे नहर के गैर में भी हो सकते हैं(19) तवाफ़ हतीम के बाहर से होना। (20) दाहिनी तरफ़ से तवाफ़ करना यअ्नी कअ्बए मुअ़ज़्ज़मा तवाफ़ करने वाले की बाईं जानिब हो। (21) उज़्र न हो तो पाँव से चल कर तवाफ़ करना यहाँ तक कि अगर घिसिटते हुए तवाफ़ करने की मन्नत मानी जब भी तवाफ़ में पाँव से चलना लाज़िम है और तवाफ़े नफ़्ल अगर घिसिटते हुए शुरूअ् किया तो हो जायेगा मगर अफ़ज़ल यह है कि चल कर करे। (22) तवाफ़ करने में नजासते हुक्मिया से पाक होना यअ्नी जुनुब व बे–वुजू न होना अगर–बे वुजू या जनाबत में तवाफ़ किया तो दोबारा करे।(23)तवाफ़ करते वक़्त सत्र छुपा होना यअ्नी अगर एक उ़ज़्व की चौथाई या इससे ज़्यादा हिस्सा खुला रहा तो दम(कुर्बानी)वाजिब होगा और चन्द जगह से खुला रहा तो जमा करेंगे गरज़ नमाज़ में सत्र खुलने में जहाँ नमाज़ फ़ासिद होती है यहाँ दम वाजिब होगा।(24)तवाफ़ के बअ्द दो रकअ़त नमाज़ पढ़ना न पढ़ी तो दम वाजिब नहीं।(25) कंकरियाँ फेंकने और ज़बह और सर मुंडाने और तवाफ़ में तरतीब यअ्नी पहले कंकरियाँ फेंके फिर गैरे मुफ़रिद कुर्बानी करे फिर सर मुंडाए फिर तवाफ़ करे। (26) तवाफ़े सद्र यअ्नी मीक़ात से बाहर के रहने वालों के लिए रुख़सत का तवाफ़ करना, अगर हज करने वाली हैज़ या निफ़ास से है और तहारत से पहले क़ाफ़िला रवाना हो जायेगा तो उस पर तवाफ़े रुख़सत नहीं। (27) **वुकूफ़े** अ़रफ़ा के बअ्द सर मुंडाने तक जिमाअ् न होना (28)एहराम में मना की हुई बातें मसलन सिला कपड़ा पहनने और मुँह या सर छुपाने से बचना।

मसअ्ला :– वजिब के तर्क से यअ्नी छोड़ने से दम लाज़िम आता है ख़्वाह क़स्दन तर्क किया हो या सहवन ख़ता के तौर पर हो या भूल कर, वह शख़्स उसका वाजिब होना जानता हो या नहीं। हाँ अगर क़स्दन करे और जानता भी हो तो गुनाहगार भी है मगर वाजिब के तर्क से हज बातिल (बेकार)न होगा अलबत्ता बाज़ वाजिब इस हुक्म से इस्तिस्ना हैं यअ्नी अलग हैं कि उनके तर्क पर दम लाज़िम नहीं मसलन तवाफ़ के बअ्द की दोनों रकअ़तें या किसी उ़ज़्र की वजह से सर न मुंडाना या मग़रिब की नमाज़ का इशा तक मुअख़्ख़र न करना यअ्नी देर न करना या किसी वाजिब का तर्क ऐसे उ़ज्र से हो जिसको शरीअ़त ने मोतबर रखा हो यअ्नी वहाँ इजाज़त दी हो और कफ़्फ़ारा साक़ित कर दिया हो।

हज की सुन्नतें

(1)**तवाफ़े कुदूम** यअ्नी मीक़ात के बाहर से आने वाला मक्का मुअ़ज़्ज़मा में हाज़िर होकर सब में पहला जो तवाफ़ करे उसे तवाफ़े कुदूम(पहला तवाफ़) कहते हैं,तवाफ़े कुदूम मुफ़रिद और क़ारिन के लिए सुन्नत है मुतमत्तेअ् के लिए नहीं।(2)तवाफ़ का हजरे अस्वद से शुरूअ् करना।(3)तवाफ़े कुदूम या तवाफ़े फ़र्ज़ में रमल करना यअ्नी अकड़ कर चलना(4) सफ़ा व मरवा के दरमियान जो दो सब्ज मील है यअ्नी हरे रंग के निशान हैं उनके दरमियान दौड़ना।(5)इमाम का मक्का में सातवीं को (6) और अ़रफ़ात में नवीं को (7)और मिना में ग्यारहवीं को ख़ुतबा पढ़ना।(8)आठवीं की फ़ज्र के बअ्द मक्का से रवाना होना कि मिना में पाँच नमाज़ें पढ़ ली जायें। (9) नवीं रात मिना में गुज़ारना।(10)आफ़ताब निकलने के बअ्द मिना से अ़रफ़ात को रवाना होना। (11)वुकूफ़े अ़रफ़ा के लिए गुस्ल करना। (12) अ़रफ़ात से वापसी में मुज़दलेफ़ा में रात को रहना। (13)आफ़ताब निकलने से पहले यहाँ से मिना को चला जाना। (14)दस और ग्यारह के बअ्द जो दोनों रातें हैं उनको मिना में गुज़ारना और अगर तेरहवीं को भी मिना में रहा तो बारहवीं के बाद की रात को भी मिना में रहे।

(15)अबतह यअ़नी वादीए मुहस्सब में उतरना अगर्चे थोड़ी देर के लिए हो और इनके अ़लावा और भी सुन्नतें हैं जिनका ज़िक्र बीच–बीच में आयेगा और हज के मुस्तहब्बात और मकरूहात का बयान भी मौके़–मौके़ से आयेगा। अब हरमैन तय्यबैन की रवानगी का इरादा करो और सफ़र के आदाब और मुक़द्दमात जो लिखे जाते हैं उन पर अ़मल करो।

आदाबे सफ़र व मुक़द्दमाते हज का बयान

(1)जिसका क़र्ज़ आता या अमानत पास हो अदा कर दे जिनके माल नाहक़ लिए हों वापस दे या माफ़ करा ले, पता न चले तो उतना माल फ़क़ीरों को दे दे। (2) नमाज़ व रोज़ा व ज़कात जितनी इबादत ज़िम्मे पर हों अदा करे और तौबा करे और फिर गुनाह न करने का पक्का इरादा करे। (3)जिसकी बे–इजाज़त सफ़र मकरूह है जैसे माँ, बाप व शौहर उसे रज़ामन्द करे। जिस पर उसका क़र्ज़ आता हो उस वक़्त न दे सके तो उससे भी इजाज़त ले फिर हज्जे फ़र्ज़ किसी की इजाज़त न देने से रोक नहीं सकता,इजाज़त की कोशिश करे न दे जब भी चला जाये।(4)इस सफ़र से मक़सूद सिर्फ़ अल्लाह व रसूल हों रिया व सुमआ व गुरूर से जुदा रहे। (5)औरत के साथ जब शौहर या महरमे बालिग़, क़ाबिले इत्मिनान न हो जिस से निकाह हमेशा को हराम है, सफ़र हराम है अगर करेगी तो हज हो जायेगा मगर हर क़दम पर गुनाह लिखा जायेगा। (6)तोशा माले हलाल से ले वरना हज क़बूल होने की उम्मीद नहीं अगर्चे फ़र्ज़ उतर जायेगा और अगर अपने माल में कुछ शुबहा हो तो क़र्ज़ लेकर हज को जाये और वह क़र्ज़ अपने माल से अदा कर दे।(7)हाजत से ज़्यादा तोशा ले कि साथियों की मदद और फ़क़ीरों पर सदक़ा करता चले, यह मक़बूल हज की निशानी है। (8)आ़लिम फ़िक्ह की किताबें मुनासिब तौर पर साथ में ले और बे–इल्म किसी आ़लिम के साथ जाये, यह भी न मिले तो कम अज़ कम यह रिसाला साथ हो। (9)आईना, सुर्मा,कंघा, मिस्वाक साथ रखे कि सुन्नत है।(10)अकेला सफ़र न करे क्यूँकि मना है। साथी, दीनदार, नेक हो क्यूँकि बद–दीन की हमराही से अकेला बेहतर। रफ़ीक़ अजनबी कुनबे वाले से बेहतर है। (11)हदीस में है कि जब तीन आदमी सफ़र को जायें अपने में एक को सरदार बना लें इस में कामों का इन्तिज़ाम रहता है। सरदार उसे बनायें जो अच्छी आ़दत वाला अ़क़्लमन्द और दीनदार हो। सरदार को चाहिए कि साथियों के आराम को अपने आराम पर मुक़द्दम रखे।(12)चलते वक़्त सब अ़ज़ीज़ों दोस्तों से मिले और अपनी ग़लती मुआ़फ़ कराये और अब उन पर लाज़िम है कि दिल से माफ़ कर दें। हदीस में है जिसके पास उसका मुसलमान भाई माज़िरत लाये ज़रूरी है कि क़बूल करे वरना हौज़े कौसर पर आना न मिलेगा। (13) हज को जाते वक़्त सब से दुआ़ कराये कि बरकत पायेगा कि दूसरों की दुआ़ के क़बूल होने की ज़्यादा उम्मीद है और यह नहीं मअ़लूम कि किस की दुआ़ मक़बूल हो लिहाज़ा सब से दुआ़ कराये और वह लोग हाजी या किसी को रुख़सत करें तो रुख़सत के वक़्त यह दुआ़ पढ़े।

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَ اَمَانَتَكَ وَ خَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ

तर्जमा :–"मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ तेरे दीन और तेरी अमानत को और तेरे अ़मल के ख़ातिमा को "

हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जब किसी को रुख़सत फ़रमाते तो यह दुआ़ पढ़ते और अगर चाहे तो इस पर इतना और बढ़ाये .

وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَ يَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ زَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوٰى وَ جَنَّبَكَ الرَّدٰى

तर्जमा :–" और तेरे गुनाह को बख़्श दे और तेरे लिए ख़ैर मयस्सर करे तू जहाँ हो और तक़वा को

तेरा तोशा करे और तुझे हलाकत से बचाये"।

(14)उन सब के दीन, जान, माल, औलाद, तन्दुरुस्ती, आफ़ियत ख़ुदा को सौंपे।(15)सफ़र का लिबास पहन कर घर में चार रकअ़त नफ़्ल, सूरए फ़ातिहा और चारों कुल से पढ़ कर बाहर निकले। वह रकअ़तें वापस आने तक इसके अहलो माल की निगहबानी करेंगी। नमाज़ के बअ़्द यह दुआ़ पढ़े :

اَللّٰهُمَّ بِكَ انْتَشَرْتُ وَ اِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَ بِكَ اعْتَصَمْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ ثِقَتِيْ وَ اَنْتَ رِجَآئِيْ اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ مَا اَهَمَّنِيْ وَ مَا لَا اَهْتَمُّ بِهٖ وَ مَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّيْ عَزَّ جَارُكَ وَ لَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ . اَللّٰهُمَّ زَوِّدْنِي التَّقْوٰى وَاغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ وَ وَجِّهْنِيْ اِلَى الْخَيْرِ اَيْنَمَا تَوَجَّهْتُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَّعْثَاءِ السَّفَرِ وَ كَاٰبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَ سُوْءِ الْمَنْظَرِ فِي الْاَهْلِ وَ الْمَالِ وَ الْوَلَدِ.

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह! तेरी मदद से मैं निकला और तेरी तरफ़ मुतवज्जेह हुआ और तेरे साथ मैंने एअ़्तिसाम किया और तुझी पर तवक्कुल किया। ऐ अल्लाह! तू मेरा एअ़्तिमाद है और तू मेरी उम्मीद है। इलाही तू मेरी किफ़ायत कर उस चीज़ से जो मुझे फ़िक्र में डाले और उससे जिस की मैं फ़िक्र नहीं करता और उससे जिसको तू मुझ से ज़्यादा जानता है तेरी पनाह लेने वाला इज़्ज़त वाला है और तेरे सिवा कोई मअ़्बूद नहीं। इलाही तक़्वा को मेरे रास्ता का तोशा कर और मेरे गुनाहों को बख़्श दे और मुझे ख़ैर की तरफ़ मुतवज्जेह कर जिधर मैं तवज्जोह करूँ। इलाही मैं तेरी पनाह माँगता हूँ सफ़र की तकलीफ से और वापसी की बुराई से और आराम के बअ़्द तकलीफ़ से और अहल और माल व औलाद में बुरी बात देखने से।" (16)घर से निकलने के पहले और बअ़्द कुछ सदक़ा करे।(17)जिधर सफ़र को जाये जुमेरात या हफ़्ता या पीर का दिन हो और सुबह का वक़्त मुबारक है और जिस पर जुमा फ़र्ज़ हो जुमा के दिन जुमा से पहले उसके लिए सफ़र अच्छा नहीं। (18)दरवाज़ा से बाहर निकलते ही यह दुआ़ पढ़े :

بِسْمِ اللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ وَ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ. اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ نَّزِلَّ اَوْنُزَلَّ اَوْ نَضِلَّ اَوْ نُضَلَّ اَوْ نَظْلِمَ اَوْ نُظْلَمَ اَوْنَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا اَحَدٌ.

तर्जमा :–" अल्लाह के नाम के साथ और अल्लाह की मदद से और अल्लाह पर तवक्कुल किया मैंने, और गुनाह से फिरना और नेकी की कुव्वत नहीं मगर अल्लाह से। ऐ अल्लाह ! हम तेरी पनाह माँगते हैं इस से कि ग़लती करें या हमें कोई ग़लती में डाले या गुमराह हों या गुमराह किये जायें या ज़ुल्म करें या हम पर ज़ुल्म किया जाये या जहालत करें या हम पर कोई जहालत करे।" (19)सब से रुख़सत के बअ़्द अपनी मस्जिद से रुख़सत हो, मकरूह वक़्त न हो तो उसमें दो रकअ़त नफ़्ल पढ़े। (20) खुशी–खुशी घर से जाये और ज़िक्रे इलाही ख़ूब करे और ख़ुदा का ख़ौफ़ हर वक़्त दिल में रखे । ग़ज़ब यअ़्नी गुस्से से बचे। लोगों की बात बर्दाश्त करे। औरतों और बालिग़ लड़कियों के सरों पर हाथ हरगिज़ न रखे क्यूँकि यह नाजाइज़ है। सुकून व इत्मीनान के साथ चले। बेकार बातों में न पड़े। (21) घर से निकले तो यह ख़्याल करे जैसे दुनिया से जा रहा है चलते वक़्त यह दुआ़ पढ़े :–

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ وَّعْثَاءِ السَّفَرِ وَ كَاٰبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَ سُوْءِ الْمَنْظَرِ فِي الْمَالِ وَ الْاَهْلِ وَ الْوَلَدِ.

वापसी तक माल और घर वाले महफ़ूज़ रहेंगे। (22) उसी वक़्त आयतल कुर्सी और सूरए काफ़िरून से सूरए नास तक, सूरए लहब के अ़लावा पाँच सूरतें बिस्मिल्लाह शरीफ़ के साथ पढ़े फिर आख़िर में एक बार और बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ ले रास्ता भर आराम से रहेगा।

(23) और उसी वक़्त

إِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ٥

तर्जमा :– "बेशक जिसने तुझ पर कुर्आन फ़र्ज़ किया तुझे वापसी की जगह की तरफ़ वापस करने वाला है" एक बार पढ़ ले,ख़ैरियत से वापस आयेगा।

(24)रेल वग़ैरा या जिस सवारी पर सवार हो बिस्मिल्लाह तीन बार पढ़े फिर अल्लाहु अकबर और अलहम्दुलिल्लाह एक बार पढ़े फिर पढ़े :–

سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَ مَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ٥ وَ اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ٥

तर्जमा :– "पाक है जिसने हमारे लिए इसे मुसख़्ख़र किया और हम इसको फरमाँबरदार नहीं बना सकते थे और हम अपने रब की तरफ़ लौटने वाले हैं"। तो उस सवारी के शर से महफ़ूज़ रहेगा।

(25)जब दरिया में सवार हो तो यह कहे :

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَ مُرْسٰهَا ط اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ٥ وَمَا

قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَ الْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ

السَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ٥

तर्जमा :– " अल्लाह के नाम की मदद से इसका चलना और रुकना है, बेशक मेरा रब बख़्शने वाला रहम वाला है और उन्होंने अल्लाह की क़द्र जैसी चाहिए, नहीं की और पूरी ज़मीन क़ियामत के दिन उसके क़ब्ज़े में है और आसमान उसके दस्ते क़ुदरत में लिपटे हुए है ,वह पाक और बरतर है उससे जिसे उसका शरीक बताते हैं)" तो डुबने से महफ़ूज़ रहेगा।

(26)सफ़र की ज़रूरीयात का चलने से तीन–चार दिन पहले इन्तेज़ाम कर लिया जाये। किसी अक़्लमन्द और जानकार हाजी से मशवरा भी कर ले। आजकल सफ़र के तीन ज़रीए हैं समुन्दरी, ख़ुश्की, हवाई। समुन्दरी जहाज़ के मुसाफिर अपने साथ बहुत सामान ले जा सकते हैं, ख़ुश्की और हवाई सफ़र में बहुत कम सामान ले जाये समुन्दरी जहाज़ के मुसाफ़िरों की ज़रूरत को पेशे नज़र रख कर सामान की फ़ेहरिस्त बनाई गई है मगर यह याद रहे कि सामान जितना कम होगा उसी क़द्र सफ़र के दौरान आराम रहेगा। अपने सामान पर नाम और मुकम्मल पता ज़रूर लिखिये। हवाई जहाज़ से सफ़र करने वाले हाजी साहिबान इतना कम सामान ले जायें कि वापसी में सामान का वज़न हवाई जहाज़ के क़ानून के मुताबिक़ हो ताकि ज़्यादा वज़न का महसूल (टैक्स)रियाल में न अदा करना पड़े। बहुत से हाजियों को देखा गया है कि क़ानून से ज़्यादा वज़न का महसूल बचाने के लिए रिश्वत देते हैं इस तरह हज के बाद ही उस मुक़द्दस सरज़मीन से गुनाह शुरूअ़ हो जाता है। सामाने सफ़र की फ़ेहरिस्त पढ़ कर तमाम चीज़ें रवाना होने से पहले जमा करके घर में एक तरफ़ रख दें ताकि जब सफ़र का सामान बाँधा जाये तो कोई चीज़ भूल चूक से रह न जाये। क़ुर्आने करीम मुतर्जम सरकारे अअ़्लाहज़रत फ़ाज़िले बरेलवी अ़लैहिर्रहमा, पंजसूरा, वज़ाइफ़ की किताब, हज व उ़मरा के मसाइल की किताब, जा–नामज़। पहनने के कपड़े गर्मी और जाड़े के एअ़्तिबार से। गद्दा दो फुट चौड़ा रूई या स्पंज का, बिस्तरबन्द, चादरें तकिया, दरी ,चटाई या उसकी जगह रेक्ज़ीन या प्लास्टिक के बड़े–बड़े टुकड़े। जहाज़ या मैदाने अ़रफ़ात में बिछाने के लिए कम्बल, एक कम्बल ओढ़ने के लिए। दस्ती पंखा, एहराम के कपड़े तौलिया ,साबुन मिस्वाक, मंजन कंघा, सुर्मा, तेल, वैसलीन, हजामत का मुकम्मल सामान सेफ़्टी, रेज़र,कैंची ,आईना, बाल्टी टीन या

प्लास्टिक की मग, लोटा ,उगालदान, पानी की बोतल ,प्लास्टिक का थर्मस, टीन का डिब्बा, कैनविस या रेक्ज़ीन का मज़बूत हैंड बैग, बक्स। कमर की पेटी पैसे रखने के लिए,। एक छोटा सा थैला गले में लटकाने के लिए जिसमें हज की किताब पासपोर्ट, क़लम और चाकू वगै़रा हो। गिलास, प्याला, प्लेट, चाय की प्यालियाँ, छोटी–बड़ी देगची, चाय की केतली, बत्ती वाला चूल्हा, माचिस,मोमबत्ती टार्च, दस्तरख़्वान, चमचा, छुरी,चाकू। खाने की चीज़ें नमकपारे, ख़स्ता हलवा बिस्किट, ख़ुश्क मेवा, ख़ासकर मिना अरफ़ात में चार दिन के लिए। जहाज़ के लिए मुसम्बी, माल्टा, सेब, नीबू अचार, चटनी, मुरब्बे, उबले हुए अन्डे,। जाम, जेली ताकि जहाज़ में छह–सात दिन तक काम आ सके। मसाला, नमक चूरन ,नमक सुलैमानी, चाट का मसाला, शकर, चाय की पत्ती, असली घी। दाल चावल बड़ियाँ,आलू प्याज़ ,लहसन ,क़ीमा सादा बग़ैर पानी और मसाला को भून कर धूप में सुखा ले जब पकाना हो तो आधा घन्टा पहले क़ीमा पानी में भिगो दें और फिर मसाला के साथ पका लें। तयम्मुम के लिए मिट्टी खाने का सामान रखने के लिए लोहे या लकड़ी की मज़बूत पेटी क्यूँकि जद्दा में सामान केन से उतारा जाता है। पेटी अगर कमज़ोर हुई तो उतारते वक़्त टूट जायेगी। कराची और बम्बई में ख़ासतौर से तैयार खाना डिब्बों में पैक किया जाता है। जहाज़ का टिकट,ट्रेवल चेक, पासपोर्ट, शनाख़्ती कार्ड, हैल्थ सर्टिफ़िकेट की फ़ोटोस्टेट कापी भी रखें या कम से कम उन दस्तावेज़ों के नम्बर लिख लें। जिस टैक्सी या गाड़ी पर सफ़र करें उसका न. भी ज़रूर लिखलें। मार्कर क़लम और आयल पेन्ट का छोटा डिब्बा अपने सामान पर नाम लिखने के लिए ज़रूर रखिये। काग़ज़, क़लम सादा लिफ़ाफ़े और अपने मुल्क की डाक के लिफ़ाफ़े ज़रूर रखिये। इसका फ़ाइदा यह है कि आप अपने मुल्क के टिकट लगे हुए लिफ़ाफ़ा पर अपना पता लिख कर अपने मुल्क के उस हाजी को दे दें जो हज करके आप से पहले रवाना हो रहा है वह इस मुल्क के किसी भी लैटर बाक्स में ख़त डाल देगा तो वह ख़त आपके घर पहुँच जायेगा। इसी तरह आप अपने मुल्की हवाई जहाज़ के मुसाफ़िर हाजी के ज़रीए ख़त भेज सकते हैं। अपने मुल्क के रिश्तेदारों अपने क़ाफ़िले के सरदार और अरब शरीफ़ में अपने मिलने वालों के फ़ोन नम्बरों की फ़ेहरिस्त साथ रखें। साथियों में किसी दीनदार, मुख़लिस और मेहनती को अपने काफ़िला का सरदार बना लें, उसकी राय, हुक्म की पाबन्दी करें सफ़र में बरकत होगी।

सफ़र के दौरान मामूली बीमारियाँ और उनका इलाज

नज़ला,ज़ुकाम खाँसी,सरदर्द,आशोबे चश्म(आँख आना)कान का दर्द दाँतों में तकलीफ़, हल्क़ में तकलीफ़ सादा बुख़ार, जाड़ा–बुख़ार, पेट का दर्द, क़ब्ज़, मतली, बदहज़मी, क़य दस्त, पेचिश ज़ख़्म, जला हुआ, चोट, फोड़ा कमर की चिक वग़ैरा। औरतें अपनी मख़सूस बीमारियों के लिए भी दवा साथ रखें। हर हाजी को चाहिए कि सफ़र के सामान में कुछ ज़रूरी दवायें अपने साथ ज़रूर रखे ताकि ज़रूरत के वक़्त ख़ुद इस्तेमाल करे या अपने सफ़र के साथी को ज़रूरत के वक़्त दे बल्कि अक्सर पड़ोसी की भी, ज़रूरत होती है उस वक़्त ख़ल्के ख़ुदा की ख़िदमत का सवाब आपके लिए बेहतरीन सरमाया है। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद (First Aid) के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवायें भी ज़रूर रखी जायें। फ़र्स्ट एड यानी फ़ौरी तिब्बी इमदाद जैसे मरहम, टिंचर, रूई, पट्टी, छोटी कैंची, बैन्डेज प्लास्टर भी साथ रखे।

अपने वतन से रवानगी

अगर आप रेल के ज़रीए समुन्दर के किनारे या बैनल अक़्वामी (अन्तर्राष्ट्रीय)एयरपेर्ट की तरफ रवाना हो रहे हैं तो बहुत मुनासिब होगा कि रवानगी से दस दिन पहले पूरे काफ़िले के लिए रेल का डिब्बा बुक करा लें या कम से कम अपने लिए वक़्त से पहले सीट बुक करा लें। दिल्ली,

लखनऊ या बम्बई पहुँच कर आप हाजी कैम्प में क़ियाम करें क्यूँकि सफ़र के तमाम काग़ज़ात हाजी कैम्प में तैयार होते हैं। इसका ख़्याल रखें कि क़ानून के मुताबिक़ सफ़र के सारे काग़ज़ात रवाना होने से बहुत पहले तैयार करा लें जिस की तफ़सील यह है।

हैल्थ सर्टिफ़िकेट :— जिसमें हैज़ा, चेचक और टैट्रासाईक्लीन से मुतअ़ल्लिक़ सर्टिफ़िकेट होते हैं। अगर उसमें किसी क़िस्म की कमी हुई तो आप को जहाज़ पर सवार होने से रोका जा सकता है या जद्दा में आपको जहाज़ से उतरने नहीं दिया जायेगा।

हाजी कैम्प से साहिल या एयरपोर्ट को रवानगी

हाजी कैम्प से प्रोग्राम के मुताबिक़ आप साहिल या एयरपोर्ट रवाना होंगे अगर आप हवाई जहाज़ के मुसाफ़िर हैं तो हाजी कैम्प में ही आपका सामान वज़न किया जायेगा। वज़न करने के बअ़्द आपका सामान बड़ी एहतियात से एयरपोर्ट रवाना कर दिया जायेगा। लिहाज़ा हर सामान पर आप का नाम, मुकम्मल पता और मुअ़ल्लिम का नाम ज़रूर होना चाहिए ताकि एयरपोर्ट पर आप आसानी से अपना सामान पहचान सकें। हाजी कैम्प से ही आप एहराम बाँध लें क्यूँकि जद्दा का सफ़र मुश्किल से चार—पाँच घन्टे का है और वाज़ेह हो कि जद्दा मीक़ात की हद में है इस लिए एहराम के बिग़ैर हज और उ़मरा की नियत से जद्दा में उतरना जाइज़ नहीं है और हवाई जहाज़ में एहराम बाँधने में बहुत परेशानी होगी एक मसअ़ला और भी याद रखें एहराम बाँधने के बअ़्द जब तक आप नियत नहीं करेंगे एहराम में दाख़िल नहीं होंगे लिहाज़ा हवाई जहाज़ में सफ़र के लिए एहराम घर पर बाँध लें। जहाज़ के सफ़र में एहराम आप अपनी जगह पर बाँध लें मगर नियत एयरपोर्ट पर उस वक़्त करें जब हवाई जहाज़ की रवानगी क़तई तौर पर यक़ीनी हो जाये क्यूँकि अक्सर ऐसा होता है कि किसी वजह से हवाई जहाज़ की रवानगी रूक जाती है तो एहराम की हालत में रहना पड़ता है अगर खुदा न चाहे रवानगी में बहुत ताख़ीर(देर)हो जाये और आप ने एहराम की नियत न की हो तो आप एहराम उतार कर कपड़े पहन सकते हैं।

समुन्दरी जहाज़ से रवानगी

जब आप साहिल पर पहुँचेंगे तो भीड़ की वजह से एक अफ़रा—तफ़री का आ़लम होगा। मगर उस वक़्त इन्सानियत के कमाल और हाजी की शराफ़त का तक़ाज़ा यह है कि सब्र व ज़ब्त से काम लिया जाये। क़तार में लग कर तमाम काग़ज़ात वग़ैरा की जाँच पड़ताल कराईये। आप के सामान में कोई ग़ैर क़ानूनी चीज़ हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। कस्टम शेड से चेकिंग कराने के बाद आप जहाज़ में किसी अच्छी जगह अपना सामान रखवा दें। अगर आप क़ाफ़िले के साथ हैं तो कुछ लोग नीचे और कुछ लोग ऊपर अ़र्शे पर जगह हासिल करें ताकि ज़रूरत के वक़्त मौसम के मुताबिक़ एक दूसरे की जगह से फ़ायदा उठाया जा सके। जहाज़ में नाश्ता और खाना, आप को वक़्त पर मिलेगा और सात दिन में जहाज़ जद्दा पहुँचेगा। लिहाज़ा खाना खुश ज़ायक़ा करने के लिए अचार, चटनी, मुरब्बा उबले हुए अंडे, मक्खन, जैम, जैली, बिस्किट वग़ैरा आप ज़रूर एक हफ़्ता के लिए रखें। मुसम्बी, माल्टा सेब भी एक हफ़्ता के लिए रखें। नमाज़ के लिए एक बड़े कमरे में इन्तिज़ाम किया जाता है जिसमें मुश्किल से डेढ़—दो सौ नमाज़ी आ सकते हैं। इसलिए अक्सर हाजी लोग अपनी जगह पर ही जमाअ़त के साथ नमाज़ का इन्तिज़ाम कर लेते हैं। उस वक़्त जा—नमाज़ और चटाई बहुत काम आयेगी। जहाज़ में अस्पताल भी होता है। हर क़िस्म की दवा भी मिलती है। अगर कोई ख़ास शिकायत हो तो आप कैप्टन से भी मिल सकते हैं। वह आपकी शिकायत को निहायत हमदर्दी

और तवज्जोह से सुनेंगे और फ़ौरन उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। जहाज़ के बावर्ची ख़ाना के क़रीब खौलता हुआ पानी भी तैयार रहता है। अगर आपके पास चाय,चीनी और दूध का डिब्बा है तो आप आसानी से अपने लिए चाय तैयार कर सकते हैं। जहाज़ के होटल से भी आप को चाय वग़ैरा मिल सकती है। जहाज़ में अपना वक़्त ज़िक्र, तिलावत और दीनी किताबों के देखने में गुज़ारें।

(27)जब बम्बई, करॉंची लखनऊ या दिल्ली से रवाना होंगे तो क़िब्ला की सम्त बदलती रहेगी। उसके लिए एक नक़्शा दिया जाता है। इससे क़िब्ले की सम्त मालूम हो सकेगी। कुतुबनुमा पास रखा जाये। जिधर वह कुतुब बताये इसी तरह उस तरफ़ दाइरे का ख़त उत्तर को कर दिया जाये। फिर जिस सम्त को क़िब्ला लिखा है उस सम्त मुँह करके नमाज़ पढ़ें जहाज़ में एक बड़ा कमरा भी नमाज़ के लिए ख़ास कर दिया जाता है। और नमाज़ों के वक़्तों में जहाज़ वाले क़िब्ला की सम्त मुतअय्यन करते रहते हैं। फिर भी हाजियों को अपनी जगह पर क़िब्ला की सम्त मालूम करने के लिए कुतुबनुमा रखना ज़रूरी है।

क़िब्लए करांची
क़िब्लए बरेली
पश्चिम
क़िब्लए दरियाए बम्बई
क़िब्लए दरियाए सकूतरा
क़िब्लए अदन
क़िब्लए कामरान
उत्तर
दक्खिन
क़िब्लए मदीना तय्यिबा
क़िब्लए जद्दा
पूरब

एहराम की तैयारी

(28) जद्दा से कुछ फ़ासिले पर यलमलम पहाड़ है। जब जहाज़ उसके क़रीब पहुँचेगा तो लाउडस्पीकर से एअ्लान होगा कि हाजी लोग एहराम बाँध लें। लिहाज़ा आप हजामत का सामान निकाल कर हर तरह सफ़ाई वग़ैरा कर लें। अगर सर के बाल मूंड लिये जायें तो बहुत अच्छा है कि एहराम की हालत में आपको बहुत आराम मिलेगा। चूँकि जद्दा मीक़ात की हद के अन्दर है इसलिए यलमलम पहाड़ी से आप एहराम के बग़ैर आगे नहीं बढ़ सकते।

जद्दा का साहिल :– जद्दा के साहिल पर पहुँचने के बअ्द जहाज़ ही में सऊदी डाक्टर और पुलिस

वाले आप के डाक्टरी के काग़ज़ात और सफ़री काग़ज़ात का मुआयना करेंगे। लिहाज़ा क़तार बना कर नज़्म व ज़ब्त के साथ अपने काग़ज़ात की जाँच–पड़ताल करायें।

जद्दा कस्टम :– जहाज़ से उतरते वक़्त अपना क़ीमती हल्का सामान खुद लेकर उतरें क्यूँकि यहाँ आपका सामान क्रेन से उतारा जायेगा फिर भी घबरायें नहीं बल्कि सब्र व ज़ब्त के साथ अल्लाह तआला के सिपुर्द कर दें। अगर आप से मुअल्लिम का नाम पूछा जाये तो बता दें। जहाज़ या हवाई जहाज़ से उतरने के बअ्द आप को बस में सवार करके कस्टम शेड में ले जाया जायेगा और ट्रक व ट्राली के ज़रीए आप का सामान भी पहुँच जायेगा। वहाँ आप अपना सामान एक जगह जमा कर दें और कस्टम करायें। उसके बअ्द अपको हाजी कैम्प पहुँचा दिया जायेगा। जद्दा में हाजी कैम्प को मदीनतुल हुज्जाज कहते हैं। "मदीनलुल हुज्जाज" में आप के मुअल्लिम के वकील आप के पासपोर्ट वग़ैरा लिखवायेंगे, जिसमें तक़रीबन 12 घन्टे और 24 घन्टे भी लग जाते हैं। जद्दा के वकील मक्का मुअज़्ज़मा या मदीना मुनव्वरा रवानगी के लिए गाड़ी का इन्तिज़ाम करेंगे क्यूँकि किराया पहले ही से वुसूल किया जा चुका है। अगर आप गवर्मेन्टी गाड़ी में न जाना चाहें तो दोबारा किराया देकर अपनी मर्ज़ी की सवारी पर भी आप मक्का मुअज़्ज़मा या मदीना मुनव्वरा जा सकते हैं जद्दा का वकील आप को मुअल्लिम के हवाले कर देगा जद्दा से मक्का मुअज़्ज़मा मिना अरफ़ात मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा और जद्दा तक आपकी मुकम्मल देखमाल और सफ़र का इन्तिज़ाम क़ानूनी तौर पर मुअल्लिम के ज़िम्मे है और इसीलिए उसको मुअल्लिमी फ़ीस दी जाती है। मक्का मुअज़्ज़मा में रोज़ाना पीने के लिए ज़मज़म शरीफ़ मुहय्या करना मुअल्लिम की ज़िम्मेदारी है। जब आप पहली दफ़ा मक्का मुअज़्ज़मा में मुअल्लिम के दफ़्तर पर उतरेंगे तो उस वक़्त का खाना खिलाना मुअल्लिम के ज़िम्मे होगा और अरफ़ात में दोपहर का खाना भी मुअल्लिम के ज़िम्मे है। जब आप मक्का मुअज़्ज़मा में मुअल्लिम के यहाँ पहुँच जायें तो अपना सामान छोड़ दें और वुज़ू करके तवाफ़ और उमरा के लिए हरम शरीफ़ रवाना हो जायें। मुअल्लिम का आदमी आपके साथ जायेगा। उस वक़्त अपने साथियों का और ख़ासकर साथ में रहने वाली औरतों का बहुत ख़्याल रखें। ज़रा भी ग़फ़लत हुई तो भीड़ की वजह से साथ छूट सकता है। एहतियात के तौर पर औरतों और अनपढ़ मर्दों के एहराम में मुअल्लिम का कार्ड ज़रूर लगा दें ताकि ज़रूरत के वक़्त काम आये। टैक्सी वग़ैरा पर जो कुछ सामान रखवाना हो उसको उसके मालिक को दिखा लो और उसकी इजाज़त के बग़ैर उस से ज़्यादा कुछ न रखो। ड्राइवर के साथ नर्मी और अख़्लाक़ से पेश आओ बिला ज़रूरत उससे बात न करो सफ़र के दौरान ख़ास कर ड्राइवर की सीट के पास वाले मुसाफ़िर को सोने न दें कि उसकी वजह से ड्राइवर को नींद आ सकती है। बद्दुओं (अरब के दिहातियों)और तमाम अरब के लोगों से बहुत नर्मी से पेश आओ अगर वह सख़्ती करें तो अदब से बर्दाश्त करो उस पर शफ़ाअत नसीब होने का वादा फ़रमाया है। खुसूसन हरमैन शरीफ़ैन वाले, ख़ास कर मदीना मुनव्वरा वाले और अरब वालों के कामों पर एअ्तिराज़ न करे,न दिल में कुदूरत लाये इसी में दोनों जहान की भलाई है। जो शख़्स अपना ऐब उठाये हुए है दूसरों के ऐब पर तन्ज़ न करे। (29)जो अरबी नहीं जानता उसे बाज़ तेज़ मिज़ाज मजदूर वग़ैरा गालियाँ बल्कि मुग़ल्लज़ात (फूहड़ गालियाँ) तक देते हैं। ऐसा इत्तिफ़ाक़ हो तो सुनी–अनसुनी कर दिया जाये और दिल पर भी मैल न लाया जाये। यूँही मक्का मुअज़्ज़मा के अवाम सख़्त मिज़ाज और तेज़ मिज़ाज हैं उनकी सख़्ती पर नरमी लाज़िम है। वहाँ के मज़दूरों को यहाँ की तरह किराये वाला न जानें। बल्कि अपना मख़दूम (पेशवा) जानें और उनसे कंजूसी न करें कि

वह ऐसों ही से नाराज़ होते हैं और थोड़ी सी बात में बहुत खुश हो जाते हैं और उम्मीद से ज़्यादा काम आते हैं। (30) हज क़बूल होने के लिए तीन शर्तें हैं।

अल्लाह तआ़ला इरशाद फ़रमाता है :

وَ لَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ لَا رَفَثَ وَ لَا فُسُوْقَ

तर्जमा : हज में न फ़ुहुश (बेहूदा)बात हो न हमारी नाफ़रमानी न किसी से झगड़ा लड़ाई"।

तो इन बातों से बहुत दूर रहना चाहिए। जब गुस्सा आये या झगड़ा हो या किसी गुनाह का ख़्याल हो तो फ़ौरन सर झुका कर दिल की त़रफ़ मुतवज्जेह होकर इस आयते करीमा की तिलावत करे और दो–एक बार लाहौल शरीफ़ पढ़े। यह बात जाती रहेगी। यही नहीं कि उसकी त़रफ़ से इब्तिदा (शुरूआ़त) हुई हो या उसके साथियों के साथ लड़ाई बल्कि बा'ज़ औक़ात राह चलतों को इम्तिहान के तौर पर पेश कर दिया जाता है कि बिला वजह उलझें बल्कि गाली–गलौज, लान– तान को तैयार होते हैं। इस से हर वक़्त ख़बरदार रहना चाहिए। ऐसा न हो कि एक–दो लफ़्ज़ में सारी मेहनत और रुपया बरबाद हो जाये।(31)जिस मन्ज़िल पर उतरे वहाँ यह दुआ पढ़े हर नुक़सान से बचेगा।

اَعُوْذُ بِكَلِمٰتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. اَللّٰهُمَّ اَعْطِنَا خَيْرَ هٰذَا الْمَنْزِلِ وَ خَيْرَ مَا فِيْهِ وَ اَكْفِنَا شَرَّ هٰذَا الْمَنْزِلِ وَ شَرَّ مَا فِيْهِ اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ.

तर्जमा :– " अल्लाह के कलिमाते ताम्मा की पनाह माँगता हूँ उसके शर से जिसे उसने पैदा किया। इलाही तू हमको उस मन्ज़िल की ख़ैर अ़ता कर और उसकी ख़ैर जो कुछ इसमें है और इस के शर से और जो कुछ इस में है उसके शर से हमें बचा। इलाही तू हमे बरकत वाली जगह में उतार और तू बेहतर उतारने वाला है।"

बेहतर यह कि मौक़ा पाते ही वहाँ दो रकअ़त नमाज़ पढ़े (32) मन्ज़िल में रास्ते से बच कर उतरे कि अकसर गाड़ियों का किनारे से गुज़र होता है। (33)जब मन्ज़िल से कूच करे दो रकअ़त नमाज़ पढ़ कर रवाना हो। ह़दीस शरीफ़ में है " क़ियामत के दिन वह मन्ज़िल उसके ह़क़ में इस अम्र (बात) की गवाही देगी"। और अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु कहते हैं कि" रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जब किसी मन्ज़िल पर उतरते दो रकअ़त नमाज़ पढ़ कर वहाँ से रुख़सत होते, (34) रास्ते में पेशाब वग़ैरा करना लानत उतरने का सबब है"।

तम्बीह :– ख़बरदार! ख़बरदार ! नमाज़ हरगिज़ न छोड़ना क्यूँकि यह हमेशा बहुत बड़ा गुनाह है। और इस हालत में, और बहुत ज़्यादा गुनाह कि जिनके दरबार में जाते हो रास्ते में उन्हीं की नाफ़रमानी करते चलो तो बताओ कि तुमने उनको राज़ी किया या नाराज़। मैंने ख़ुद बहुत से ह़ाजियों को देखा है कि नमाज़ की त़रफ़ बिल्कुल तवज्जोह नहीं करते। थोड़ी तकलीफ़ पर नमाज़ छोड़ देते हैं। ह़ालाँकि शरीअ़ते मुतह्हरा ने जब तक आदमी होश में है नमाज़ माफ़ नहीं फ़रमाई। मदीना त़य्यिबा के सफ़र में (35) बा'ज़ मरतबा क़ाफ़िला में न ठहरने की वजह से मजबूरी में जोहर और अस्र मिलाकर पढ़नी होती है। इसके लिए लाज़िम है कि ज़ोहर के फ़र्जों से फ़ारिग़ होने से पहले इरादा कर ले कि इसी वक़्त अ़स्र पढूँगा और ज़ोहर के फ़र्ज़ के बअ़्द फ़ौरन अ़स्र की नमाज़ पढ़े यहाँ तक कि बीच में ज़ोहर की सुन्नतें भी न पढ़े। इसी त़रह मग़रिब के बअ़्द इ़शा भी इन्हीं शर्तों से जाइज़ है और अगर ऐसा मौक़ा हो कि अ़स्र के वक़्त ज़ोहर या इ़शा के वक़्त मग़रिब पढ़नी हो तो सिर्फ़ इतनी शर्त है कि ज़ोहर और मग़रिब के वक़्त में वक़्त निकलने से पहले इरादा कर ले

कि इनको अस्र और इशा के साथ पढ़ूँगा। (36) जब वह बस्ती नज़र पड़े जिसमें ठहरना या जाना चाहता है यह कहे : —

اَللّٰھُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَ مَآ اَظْلَلْنَ وَ رَبَّ الْاَرْضِیْنَ السَّبْعِ وَمَآ اَقْلَلْنَ وَ رَبَّ الشَّیٰطِیْنِ. وَ مَآ اَضْلَلْنَ وَ رَبَّ الْاَرْیَاحِ وَ مَا ذَرَیْنَ .اَللّٰھُمَّ اِنَّا نَسْئَلُکَ خَیْرَ ھٰذِہِ الْقَرْیَۃِ وَ خَیْرَ اَھْلِھَا وَ خَیْرَ مَافِیْھَا وَ نَعُوْذُبِکَ مِنْ شَرِّ ھٰذِہِ الْقَرْیَۃِ وَ شَرِّ اَھْلِھَا وَ شَرِّ مَا فِیْھَا .

तर्जमा :— "ऐ अल्लाह ! सातों आसमानों के रब और उनके जिनको आसमानों ने साया किया और सातों जमीनों के रब और उनके जिनकी ज़मीनों ने उठाया और शैतानों के रब और उनके जिनको उन्होंने गुमराह किया और हवाओं के रब और उनके जिनको हवाओं ने उड़ाया। ऐ अल्लाह! हम तुझसे इस बस्ती की और बस्ती वालों की और जो कुछ इसमें है उनकी भलाई का सवाल करते हैं और इस बस्ती के और बस्ती वालों के शर से और जो कुछ इसमें है उसके शर से तेरी पनाह माँगते हैं"।

या सिर्फ़ पिछली दुआ पढ़े। हर बला से महफ़ूज़ रहेगा। जिस शहर में जाये वहाँ के सुन्नी आलिमों और शरीअ़त के पाबन्द फ़क़ीरों के पास अदब से हाज़िर हो, मज़ारात की ज़्यारत करे, बेकार सैर और तमाशे में वक़्त न गंवाये। (38) जिस आ़लिम की ख़िदमत में जाये वह मकान में हो तो आवाज़ न दे बाहर आने का इन्तिज़ार करे। उसके हुज़ूर बे—ज़रूरत गुफ़्तगू न करे। बेइजाज़त लिए मसअ्ला न पूछे उसकी कोई बात अपनी नज़र में शरीअ़त के ख़िलाफ़ मअ्लूम हो तो एअ्तिराज़ न करे और दिल में नेक गुमान रखे मगर यह सुन्नी आलिम के लिए है, बदमज़हब के साया से भी दूर भागे। (39) ज़िक्रे ख़ुदा से दिल बहलाये कि फ़रिश्ता साथ रहेगा। ग़लत शेर और बेहूदा बातों से दिल न बहलाये क्यूँकि शैतान साथ होगा। (40) रात को ज़्यादा चले कि सफ़र तय होता है। हर (41) सफ़र ख़ुसूसन हज के सफ़र में अपने और अपने अ़ज़ीज़ों और दोस्तों के लिए दुआ से ग़ाफ़िल न रहे। इसलिए कि मुसाफ़िर की दुआ क़बूल है। (42) जब किसी मुश्किल में मदद की ज़रूरत हो तो तीन बार यह कहे :—

یَا عِبَادَ اللّٰہِ اَعِیْنُوْنِیْ

तर्जमा : —" ऐ अल्लाह के नेक बन्दो ! मेरी मदद करो"। ग़ैब से मदद होगी। यह हुक्म हदीस में है। (43) जब रास्ता में गाड़ी ख़राब हो जाये और ख़राबी का पता न चलता हो तो इस आयते करीमा की तिलावत करे। इन्शाअल्लाह तआ़ला जल्द ठीक हो जायेगी।

اَفَغَیْرَ دِیْنِ اللّٰہِ یَبْغُوْنَ وَ لَہٗۤ اَسْلَمَ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّ کَرْھًا وَّ اِلَیْہِ تُرْجَعُوْنَ0

तर्जमा :— " क्या अल्लाह के दीन के सिवा कुछ और तलाश करते हैं और उसी के फ़रमाँबरदार हैं खुशी और ना— खुशी से वह जो आसमानों और ज़मीन में हैं। और उसी की तरफ़ तुमको लौटना है"।

(44) یَا صَمَدُ एक सौ चौंतीस बार रोज़ पढ़े, भूक—प्यास से बचेगा। अगर दुश्मन या डाकू का डर हो तो सूरए कुरैश पढ़े, हर बला से हिफ़ाज़त रहेगी। जब रात की तारीकी परेशान करने वाली आये यह दुआ पढ़े : —

یَا اَرْضُ رَبِّیْ وَ رَبُّکَ اللّٰہُ اَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْ شَرِّکِ وَ شَرِّ مَا فِیْکِ وَشَرِّ مَا خَلَقَ فِیْکِ وَ شَرِّ مَا دَبَّ عَلَیْکِ وَ اَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْ شَرِّ اَسَدٍ وَّ اَسْوَدَ وَ مِنَ الْحَیَّۃِ وَ الْعَقْرَبِ وَ مِنْ سَاکِنِ الْبَلَدِ وَ مِنْ وَّ الِدٍ وَّ مَا وَلَدَ.

तर्जमा :– " ऐ ज़मीन मेरा और तेरा परवरदिगार अल्लाह है, अल्लाह की पनाह माँगता हूँ तेरे शर से जो तुझमें है और उसके शर से जो तुझमें पैदा की। और जो तुझ पर चली और अल्लाह की पनाह शेर और काले साँप और बिच्छू और इस शहर के बसने वाले से और शैतान और उसकी औलाद से।
(45) जब कहीं दुश्मनों से ख़ौफ़ हो यह पढ़ ले :–

اَللّٰھُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِیْ نُحُوْرِهِمْ وَ نَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ ۔

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह ! मैं तुझको उनके सीनों के मुकाबिल करता हुँ और उनकी बुराईयों से तेरी पनाह माँगता हूँ।"
जब ग़म व परेशानी हो यह दुआ पढ़े :

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِیْمُ الْحَلِیْمُ. لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ.

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِیْمِ.

तर्जमा :– "अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं जो अ़ज़मत वाला, हिल्म वाला है। अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं जो बड़े अ़र्श का मालिक है। अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं जो आसमानों और ज़मीन का मालिक है और बुजुर्ग अ़र्श का मालिक है।"और ऐसे वक़्त . لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ और حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِیْلُ की कसरत करे।
अगर कोई चीज़ गुम हो जाये तो यह कहे:–

یَا جَامِعَ النَّاسِ لِیَوْمٍ لَّا رَیْبَ فِیْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا یُخْلِفُ الْمِیْعَادَ ط اِجْمَعْ بَیْنِیْ وَ بَیْنَ ضَالَّتِیْ o

तर्जमा :– " ऐ लोगों को उस दिन जमा करने वाले जिस में शक नहीं, बेशक अल्लाह वअ़दा का ख़िलाफ़ नहीं करता। मेरे और मेरी गुमी चीज़ के दरमियान जमअ़ कर दे"।
इन्शाअल्लाह तआ़ला गुमी चीज़ मिल जायेगी। (48) हर बलन्दी पर चढ़ते वक़्त अल्लाहु अकबर कहे और ढाल में उतरते वक़्त सुब्हानल्लाह कहे।
(49) सोते वक़्त एक बार आयतुल कुर्सी हमेशा पढ़े कि चोर और शैतान से अमान में रहेगा।
(50) नमाज़ें दोनों सरकारों में वक़्त शुरूअ़ होते ही होती हैं। शुरूअ़ वक़्त अज़ान और थोड़ी देर बअ़द तकबीर व जमाअ़त हो जाती है। जो शख़्स कुछ फ़ासिला पर ठहरा हो वह इतनी गुन्जाइश नहीं पाता कि अज़ान सुनकर वुज़ू करे फिर हाज़िर होकर जमाअ़त या पहली रकअ़त मिल सके और वहाँ की बड़ी बरकत यही, तवाफ़ और ज़्यारत और नमाज़ों की तकबीरे ऊला (पहली तकबीर)है। लिहाज़ा वक़्त पहचान रखें। अज़ान से पहले वुज़ू करके तैयार रहें। अज़ान सुनते ही फ़ौरन चल दें तो तकबीरे अव्वल मिलेगी और अगर पहली सफ़ चाहें जिसका सवाब बेइन्तिहा है जब तो अज़ान से पहले हाज़िर हो जाना ज़रूरी है।

(51) वापसी में भी उन्हीं तरीक़ों का लिहाज़ रखे जो यहाँ तक बयान हुए। (52) मकान पर आने की तारीख़ वक़्त से पहले बता दे। बिना इत्तिला हरगिज़ न जाये ख़ुसूसन रात में।
(53) लोगों को चाहिए कि हाजी का इस्तिक़बाल करें और उसके घर पहुँचने से पहले दुआ़ करायें कि हाजी जब तक अपने घर में क़दम नहीं रखता उसकी दुआ़ क़बूल है।
(54) सब से पहले अपनी मस्जिद में आकर दो रकअ़त नफ़्ल पढ़े दो रकअ़त घर में आकर पढ़े। फिर सबसे ख़ुशी–ख़ुशी मिले।

(55) अज़ीज़ों दोस्तों के लिए कुछ न कुछ तोहफ़ा ज़रूर लाये और हाजी का तोहफ़ा हरमैन शरीफ़ैन के तबर्रुकात से ज़्यादा क्या है और दूसरा तोहफ़ा दुआ का कि मकान में पहुँचने से पहले इस्तिक़बाल करने वालों और सब मुसलमानों के लिए करे।

मीक़ात का बयान

मीक़ात उस जगह को कहते हैं कि मक्कए मुअज़्ज़मा के जाने वाले को बग़ैर एहराम वहाँ से आगे जाना जाइज़ नहीं अगर्चे तिजारत वग़ैरा किसी और ग़रज़ से जाता हो। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– मीक़ात पाँच हैं :– (1)जुलहुलैफ़ा : यह मदीना तय्यिबा की मीक़ात है। इस ज़माने में इस जगह का नाम अब्यारे अ़ली' है हिन्दुस्तानी या और मुल्क वाले हज से पहले अगर मदीना तय्यिबा को जायें और वहाँ से फिर मक्काए मुअ़ज़्ज़मा को आयें तो वह भी जुलहुलैफ़ा से एहराम बाँधें। **(2) ज़ाते इर्क़** :– यह इराक वालों की मीक़ात है। **(3) जुह़फ़ा** : यह शामियों की मीक़ात है मगर जुह़फ़ा अब बिल्कुल ख़त्म सा हो गया वहाँ आबादी न रही सिर्फ़ बाज़–बाज़ निशान पाये जाते हैं। इसके जानने वाले अब कम होंगे लिहाज़ा मुल्के शाम वाले 'राबिग़' से एहराम बाँधते हैं कि जुह़फ़ा 'राबिग़'के क़रीब है। **(4) क़र्न** : यह नज्द वालों की मीक़ात है यह जगह ताइफ़ के क़रीब है। **(5) यलमलम** : – यह यमन वालों के लिए हैं।

मसअ्ला :– यह मीक़ात उनके लिए भी है जिनका ज़िक्र हुआ और उनके अलावा जो शख़्स जिस मीक़ात से गुज़रे उसके लिए वही मीक़ात है और अगर मीक़ात से न गुज़रा तो जब मीक़ात के मुहाज़ी (बराबर में)आये उस वक़्त एहराम बाँध ले मसलन हिन्दुस्तानियों की मीक़ात यलमलम पहाड़ की मुहाज़ात(बराबरी)है और मुहाज़ात (बराबरी)में आना उसे ख़ुद मअ्लूम न हो तो किसी जानने वाले से पूछ कर मअ्लूम करे और अगर कोई ऐसा न मिले जिससे दरयाफ़्यत करे तो तहर्री (ग़ौर व फ़िक्र) करे अगर किसी तरह मुहाज़ात का इल्म न हो तो मक्कए मुअ़ज़्ज़मा जब दो मन्ज़िल बाक़ी रहे एहराम बाँध ले। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– जो शख़्स दो मीक़ात से गुज़रा मसलन शामी(मुल्के शाम का रहने वाला)कि मदीना मुनव्वरा की राह से जुलहुलैफ़ा आया और वहाँ से जुह़फ़ा को आया तो यह अफ़ज़ल है कि पहली मीक़ात पर एहराम बाँधे और दूसरी पर बाँधा जब भी हरज नहीं यूहीं अगर मीक़ात से न गुज़रा और मुहाज़ात में दो मीक़ात पड़ती हैं तो जिस मीक़ात की मुहाज़ात पहले हो वहाँ एहराम बाँधना अफ़ज़ल है। (दुर्रे मुख़्तार,आलमगीरी)

मसअ्ला :– मक्कए मुअ़ज़्ज़मा जाने का इरादा न हो बल्कि मीक़ात के अन्दर किसी और जगह मसलन जद्दा जाना चाहता है तो उसे एहराम की ज़रूरत नहीं फिर वहाँ से अगर मक्का मुअ़ज़्ज़मा जाना चाहे तो बग़ैर एहराम जा सकता है लिहाज़ा जो शख़्स हरम में बग़ैर एहराम जाना चाहता है वह यह हीला (शरई बहाना) कर सकता है बशर्ते कि वाक़ई उसका इरादा पहले मसलन जद्दा जाने का हो और मक्का मुअ़ज़्ज़मा हज और उमरा के इरादे से न जाता हो मसलन तिजारत के लिए जद्दा जाता है और वहाँ से फ़ारिग़ होकर मक्का मुअ़ज़्ज़मा जाने का इरादा है और अगर पहले ही से मक्का मुअ़ज़्ज़मा का इरादा है तो अब बग़ैर एहराम नहीं जा सकता। जो शख़्स दूसरे की तरफ़ से हज्जे बदल को जाता हो उसे यह हीला जाइज़ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मीकात से पहले एहराम बाँधने में हरज नहीं बल्कि बेहतर है बशर्ते कि हज के महीनों में हो और शव्वाल से पहले हो तो मना है। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअला :– जो लोग मीकात के अन्दर के रहने वाले हैं मगर हरम से बाहर हैं उनके एहराम की जगह हिल यअ्नी हरम से बाहर की जगह है। हरम से बाहर जहाँ चाहे एहराम बाँधें और बेहतर यह है कि घर से एहराम बाँधें और यह लोग अगर हज या उमरा का इरादा न रखते हों तो बग़ैर एहराम मक्कए मुअज़्ज़मा जा सकते हैं। (आम्मए कुतुब)

मसअला :– हरम के रहने वाले हज का एहराम हरम से बाँधें और बेहतर यह है कि मस्जिदे हराम शरीफ़ में एहराम बाँधें और उमरा का एहराम हरम शरीफ़ के बाहर बाँधें और बेहतर यह कि तनईम पहाड़ से उमरा का एहराम बाँधें। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– मक्का वाले अगर किसी काम के लिए हरम से बाहर जायें तो उन्हें वापसी के लिए एहराम की हाजत (ज़रूरत) नहीं और मीक़ात से बाहर जायें तो अब बग़ैर एहराम वापस आना उन्हें जाइज़ नहीं। (आलमगीरी, रद्दुल मुहतार)

एहराम का बयान

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ج فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَ لَا فُسُوْقَ وَ لَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ط وَ مَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ وَ تَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ز وَاتَّقُوْنِ يٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ ۝

तर्जमा :– "हज के चन्द महीने मअ्लूम हैं जिसने उनमें हज(अपने ऊपर)लाज़िम किया (एहराम बाँधा)तो न फुहुश है न फ़िस्क़ (गुनाह)है न झगड़ना हज में, और जो कुछ भलाई करो अल्लाह उसे जानता है और तोशा लो और बेशक सब से अच्छा तोशा तक़वा है और मुझी से डरो ऐ अक़्ल वालो"।

और अल्लाह फ़रमाता है :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۝ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ ط اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ لَا الْهَدْيَ وَ لَا الْقَلَآئِدَ وَ لَاۤ آٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رِضْوَانًا ط وَ اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ط

तर्जमा :–" ऐ ईमान वालो ! अक़्द (लेन–देन)पूरे करो तुम्हारे लिए चौपाए जानवर हलाल किये गये सो उनके जिनका तुम पर बयान होगा मगर हालते एहराम में शिकार का क़स्द (इरादा) न करो, बेशक अल्लाह जो चाहता है हुक्म फ़रमाता है। ऐ ईमान वालो! अल्लाह के शआइर (निशानियों) और माहे हराम और हरम की कुर्बानी और जिन जानवरों के गलों में हार डाले गये (कुर्बानी की अलामत के लिए) उनकी बेहुरमती न करो और न उन लोगों की जो ख़ानए कअ्बा का क़स्द अपने रब के फ़ज़्ल और रज़ा तलब करने के लिए करते हैं और जब एहराम खोलो उस वक़्त शिकार कर सकते हो"।

हदीस न.1 :– सहीहैन में उम्मुलमोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एहराम के लिए एहराम से पहले और एहराम खोलने के लिए तवाफ़ से पहले खुश्बू लगाती जिसमें मुश्क थी उसकी चमक हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की माँग में एहराम की हालत में गोया मैं अब देख रही हूँ।

हदीस न.2 :– अबू दाऊद ज़ैद इब्ने साबित रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि नबी स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने एहराम बाँधने के लिए ग़ुस्ल फ़रमाया।

हदीस न.3 :– सहीह मुस्लिम शरीफ़ में अबू सईद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी, कहते हैं कि हम हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के साथ ह़ज को निकले अपनी आवाज़ ह़ज के साथ ख़ूब बलन्द करते।

हदीस न.4 :– तिर्मिज़ी व इब्ने माजा बैहक़ी सहल इब्ने सअ़द रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी रसूलुल्लाह स़ल्ललाहु तआ़ला अ़लैहि सल्लम ने फ़रमाया जो मुसलमान लब्बैक कहता है तो दाहिने बायें जो पत्थर पायें दरख़्त या ढेला ज़मीन की इन्तिहा तक है लब्बैक कहता है।

हदीस न.5,6 :– इब्ने माजा व इब्ने ख़ुज़ैमा व इब्ने ह़ब्बान व ह़ाकिम ज़ैद इब्ने ख़ालिद जुहनी से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिब्रील ने आकर मुझसे यह कहा कि अपने असह़ाब (सह़ाबा)को हुक्म फ़रमा दीजिए लब्बैक में अपनी आवाज़ बलन्द करें कि यह ह़ज का शिआ़र (निशानी)है। इसी के मिस्ल साइब रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी है।

हदीस न.7 :– त़बरानी औसत़ में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि लब्बैक कहने वाला जब लब्बैक कहता है तो उसे बशारत(ख़ुशख़बरी)दी जाती है। अ़र्ज़ की गई जन्नत की बशारत दी जाती है, फ़रमाया हाँ।

हदीस न.8 :– इमाम अहमद व इब्ने माजा जाबिर इब्ने अ़ब्दुल्लाह और त़बरानी व बैहक़ी आमिर इब्ने रबीआ़ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाह तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं मुह़रिम (एह़राम बाँधने वाला)जब आफ़ताब (सूरज)डूबने तक लब्बैक कहता है तो आफ़ताब डूबने के साथ उसके गुनाह ग़ाइब हो जाते हैं और ऐसा हो जाता है जैसा उस दिन कि पैदा हुआ।

हदीस न.9 :– तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व इब्ने ख़ुज़ैमा अमीरुल मोमिनीन ह़ज़रते सिद्दीक़े अकबर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि किसी ने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से सवाल किया ह़ज के अफ़ज़ल अअ़्माल (काम)क्या हैं फरमाया बलन्द आवाज़ से लब्बैक कहना और क़ुर्बानी करना।

हदीस न.10 :– इमाम शाफ़िई व ख़ुज़ैमा इब्ने साबित रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जब लब्बैक से फ़ारिग़ होते तो अल्लाह तआ़ला से उसकी रज़ा और जन्नत का सवाल करते और दोज़ख़ से पनाह माँगते।

हदीस न.11 :– अबू दाऊद व इब्ने माजा उम्मुलमोमिनीन उम्मे सलमा रदियल्ललाहु तआ़ला अ़न्हा से रावी कहती हैं मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि जो मस्जिदे अक़सा से मस्जिदे ह़राम तक ह़ज या उमरा का एह़राम बाँध कर आया उसके अगले और पिछले गुनाह बख़्श दिये जायेंगे या उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई।

एह़राम के अह़काम

(1) यह तो पहले मअ़्लूम हो चुका है कि हिन्द या पाकिस्तान वालों के लिए मीक़ात (जहाँ से एह़राम बाँधने का हुक्म है) **यलमलम पहाड़** की मुह़ाज़ात (बराबरी)है यह जगह **कामरान** से निकल कर समुन्दर में आती है जब जद्दा दो तीन मन्ज़िल रह जाता है, जहाज़ वाले इत्तिला(ख़बर)दे देते हैं पहले से एहराम का सामान तैयार रखें।(2)जब वह जगह क़रीब आये मिस्वाक करें और वुज़ू करें

और खूब मल कर नहायें न नहा सकें तो सिर्फ़ वुज़ू करें यहाँ तक कि हैज़ व निफ़ास वाली और बच्चे भी नहायें और तहारत (पाकी)के साथ एहराम बाँधें यहाँ तक कि अगर गुस्ल किया फिर बे–वुज़ू हो गया और एहराम बाँध कर वुज़ू किया तो फ़ज़ीलत का सवाब नहीं और पानी ज़रर (नुकसान)करे तो उसकी जगह तयम्मुम नहीं हाँ अगर नमाज़े एहराम के लिए तयम्मुम करे तो हो सकता है।(3)मर्द चाहें तो सर मुन्डा लें कि एहराम में बालों की हिफ़ाज़त से नजात मिलेगी वरना कंघा करें ख़ुशबूदार तेल डालें। (4) गुस्ल से पहले नाखुन कतरें ख़त बनवायें और नाफ़ के नीचे के बाल और बग़ल के भी बाल साफ़ कर लें बल्कि पीछे के भी यअ्नी नाफ़ के नीचे आगे–पीछे दोनों तरफ़ औरत मर्द दोनों ही बाल बिल्कुल साफ़ कर लें ताकि ढेला लेते वक़्त बालों के टूटने उखड़ने का अन्देशा न रहे। (5) बदन, और कपड़ों पर ख़ुशबू लगायें कि सुन्नत है अगर ख़ुशबू ऐसी है कि उसका जिर्म यअ्नी बारीक–बारीक ज़र्रे बाक़ी रहेंगे जैसे मुश्क वग़ैरा तो कपड़ों पर न लगायें। (6)मर्द सिले कपड़े और मोज़े उतार दें एक चादर नई या धुली ओढ़ें और ऐसा ही एक तहबन्द बाँधें। यह कपड़े सफ़ेद और नये बेहतर हैं और अगर एक हीं कपड़ा पहना जिस से सारा सत्र छुप गया जब भी जाइज़ है। बअ्ज़ अवाम यह करते हैं कि उसी वक़्त से चादर दाहिनी बग़ल के नीचे करके दोनों पल्लू बाये मोंढे पर डाल देते हैं यह ख़िलाफ़े सुन्नत है बल्कि सुन्नत यह है कि इस तरह चादर ओढ़ना तवाफ़ के वक़्त है और तवाफ़ के अलावा बाक़ी वक़्तों में आदत के मुवाफ़िक़ चादर ओढ़ी जाये यअ्नी दोनों मोंढे और पीठ और सीना सब छुपा रहे। (7) जब वह जगह आये और वक़्त मकरूह न हो तो दो रकअ्त एहराम की नीयत से पढ़ें पहली में सूरए फ़ातिहा के बअ्द सूरए काफ़िरून दूसरी में सूरए इख़्लास पढ़ें। (8) हज तीन तरह का होता है एक यह कि निरा हज करे इसे इफ़राद कहते हैं और हाजी को **मुफ़रिद**। इस में सलाम के बअ्द यूँ कहे :–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِیْ وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّیْ نَوَيْتُ الْحَجَّ وَ اَحْرَمْتُ بِهٖ مُخْلِصًا لِلّٰهِ تَعَالٰی .

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह! मैं हज का इरादा करता हूँ इसे तू मेरे लिए आसान कर और इसे मुझ से क़बूल कर मैंने हज की नीयत की और ख़ास अल्लाह के लिए मैंने इसका एहराम बाँधा"।

दूसरा यह कि यहाँ से निरे उमरे की नीयत करे मक्कए मुअ़ज़्ज़मा में हज का एहराम बाँधे इसे तमत्तोअ् कहते हैं और हाजी को मुतमत्तेअ् इसमें यहाँ सलाम के बअ्द यह कहे।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِیْ وَ تَقَبَّلْهَا مِنِّیْ نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَ اَحْرَمْتُ بِهٖ مُخْلِصًا لِلّٰهِ تَعَالٰی .

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह! मैं उमरा का इरादा करता हूँ इसे तू मेरे लिए आसान कर और इसे मुझसे क़बूल कर मैंने उमरे की नीयत की और ख़ास अल्लाह के लिए मैंने इसका एहराम बाँधा।

तीसरा यह कि हज व उमरा दोनों की यहीं से नीयत करे और यह सब से अफ़ज़ल है इसे क़िरान कहते हैं और हाजी को क़ारिन कहते हैं। इसमें सलाम के बअ्द यूँ कहे :

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ وَ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُمَا لِیْ وَ تَقَبَّلْهُمَا مِنِّیْ نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ وَ اَحْرَمْتُ بِهٖ مُخْلِصًا لِلّٰهِ تَعَالٰی

तर्जमा :– ऐ अल्लाह! मैं हज व उमरा का इरादा करता हूँ इसे तू मेरे लिए आसान कर और इसे मुझ से क़बूल कर मैंने हज व उमरा की नीयत की और ख़ास अल्लाह के लिए मैंने इसका एहराम बाँधा"।

और तीनों सूरतों में इस नीयत के बअ्द लब्बैक आवाज़ के साथ कहे, लब्बैक यह है : –

لَبَّيْكَ ط اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ط لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ط اِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ

तर्जमा :– " मैं तेरे पास हाज़िर हुआ। ऐ अल्लाह ! मैं तेरे हुजूर हाज़िर हुआ। तेरे हुजूर हाज़िर हुआ। तेरा कोई शरीक नहीं मैं तेरे हुजूर हाज़िर हुआ बेशक तअ्रीफ़ और नेअ्मत और मुल्क तेरे ही लिए है तेरा कोई शरीक नहीं"।

जहाँ–जहाँ वक़्फ़ की अ़लामतें बनी हैं वहाँ वक़्फ़ करे लब्बैक तीन बार कहे और दुरूद शरीफ़ पढ़े फिर दुआ माँगे एक दुआ यहाँ पर यह मनकूल है :

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَ الْجَنَّةَ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّارِ۔

तर्जमा :–"ऐ अल्लाह मैं तेरी रज़ा और जन्नत का साइल हूँ और तेरे ग़ज़ब और जहन्नम से तेरी ही पनाह माँगता हूँ"

और यह दुआ भी बुजुर्गों से मन्कूल है:–

اَللّٰهُمَّ اَحْرَمَ لَكَ شَعْرِیْ وَ بَشَرِیْ وَ عَظْمِیْ وَ دَمِیْ مِنَ النِّسَآءِ وَ الطِّیْبِ وَ كُلِّ شَیْءٍ حَرَّمْتَهٗ عَلَى الْمُحْرِمِ اَبْتَغِیْ بِذٰلِكَ وَجْهَكَ الْكَرِیْمِ. لَبَّیْكَ وَ سَعْدَیْكَ وَ الْخَیْرُ كُلُّهٗ بِیَدَیْكَ وَ الرَّغْبَآءُ اِلَیْكَ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ لَبَّیْكَ ذَاالنَّعْمَآءِ وَ الْفَضْلِ الْحَسَنِ لَبَّیْكَ مَرْغُوْبًا وَّ مَرْهُوْبًا اِلَیْكَ لَبَّیْكَ اِلٰهَ الْخَلْقِ لَبَّیْكَ لَبَّیْكَ حَقًّا حَقًّا تَعَبُّدًا وَّ رِقًّا لَبَّیْكَ عَدَدَ التُّرَابِ وَ الْحَصٰی لَبَّیْكَ لَبَّیْكَ ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّیْكَ لَبَّیْكَ مِنْ عَبْدٍ اَبَقَ اِلَیْكَ لَبَّیْكَ لَبَّیْكَ فَرَّاجَ الْكُرُوْبِ لَبَّیْكَ لَبَّیْكَ اَنَا عَبْدُكَ لَبَّیْكَ لَبَّیْكَ غَفَّارَ الذُّنُوْبِ لَبَّیْكَ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّیْ عَلٰی اَدَآءِ فَرْضِ الْحَجِّ وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّیْ وَاجْعَلْنِیْ مِنَ الَّذِیْنَ اسْتَجَابُوْا لَكَ وَ اٰمَنُوْا بِوَعْدِكَ وَ اتَّبَعُوْا اَمْرَكَ وَاجْعَلْنِیْ مِنْ وَّفْدِكَ الَّذِیْنَ رَضِیْتَ عَنْهُمْ وَ اَرْضَیْتَهُمْ وَ قَبِلْتَهُمْ ۝

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह ! तेरे लिए एहराम बाँधा मेरे बाल और बशरा ने और मेरी हड्डी और मेरे खून ने औरतों और खुश्बू से और हर उस चीज़ से जिसको तूने मुहरिम पर हराम किया उस से मैं तेरे वजहे करीम का तालिब हूँ मैं तेरे हुजूर में हाज़िर हुआ और कुल ख़ैर तेरे हाथ में है और रग़बत व अच्छा अ़मल तेरी तरफ़ है मैं तेरे हुजूर हाज़िर हुआ। ऐ नेअ्मत और अच्छे फ़ज़्ल वाले ! मैं तेरे हुजूर हाज़िर हुआ तेरी तरफ़ रग़बत करता हुआ और डरता हुआ, तेरे हुजूर हाज़िर हुआ। ऐ मख़लूक़ के मअ्बूद! बार बार हाज़िर हूँ। ऐ बलन्दियों की गिनती के मुवाफ़िक़ लब्बैक बार–बार हाज़िर हूँ। ऐ बलन्दियों वाले! बार–बार हाज़िरी है भागे हुए गुलाम की तेरे हुजूर। लब्बैक लब्बैक ऐ सख़्तियों के दूर करने वाले! लब्बैक लब्बैक मैं तेरा बन्दा हूँ लब्बैक ऐ गुनाहों के बख़्शने वाले! ऐ अल्लाह ! हज्जे फ़र्ज़ के अदा करने पर मेरी मदद कर और उसको मेरी तरफ़ से क़बूल कर और मुझको उन लोगों में कर जिन्होंने तेरी बात क़बूल की और तेरे वअ्दे पर ईमान लाये तेरे अम्र (हुक्म) का इत्तिबाअ् किया और मुझको अपने उस वफ़्द (जमाअ़त) में कर दे जिन से तू राज़ी है और जिन को तूने राज़ी किया और जिनको तूने मक़बूल बनाया"।

और लब्बैक की कसरत करें जब शुरूअ् करें तीन बार कहें।

मसअ्ला :– लब्बैक के अलफ़ाज़ जो मज़कूर हुए इनमें कमी न की जाये ज़्यादा कर सकते हैं बल्कि बेहतर है मगर ज़्यादती आख़िर में हो दरमियान में न हो। (जौहरा)

मसअ्ला :– जो शख़्स बलन्द आवाज़ से लब्बैक कह रहा है तो उसको इस हालत में सलाम न किया जाये कि मकरूह है और अगर कर लिया तो ख़त्म करके जवाब दे हाँ अगर जानता हो कि ख़त्म करने के बअ्द जवाब का मौक़ा न मिलेगा तो इस वक़्त जवाब दे सकता है। (मुनसक)

मसअ्ला :– एहराम के लिए एक मरतबा ज़बान से लब्बैक कहना ज़रूरी है और अगर उसकी जगह

سُبْحٰنَ اللّٰہ या اَلْحَمْدُ لِلّٰہ या اللّٰہُ اَکْبَرُ या لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ या कोई और ज़िक्रे इलाही किया और एहराम की नियत की तो एहराम हो गया मगर सुन्नत लब्बैक कहना है। (आलमगीरी वग़ैरा)गूँगा हो तो उसे चाहिए कि होंट को जुम्बिश दे (हिलायें)

मसअ्ला :– एहराम के लिए नियत शर्त है अगर बग़ैर नीयत लब्बैक कहा एहराम न हुआ यूहीं तन्हा नियत भी काफ़ी नहीं जब तक लब्बैक या उसके क़ाइम मक़ाम कोई और चीज़ न हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एहराम के वक़्त लब्बैक कहे तो उसके साथ नियत भी हो यह बारहा मअ्लूम हो चुका है कि नियत दिल के इरादे को कहते हैं दिल में इरादा न हो तो एहराम ही न हुआ और बेहतर यह है कि ज़बान से भी कहे मसलन किरान में لَبَّیْکَ بِالْعُمْرَۃِ وَالْحَجِّ और तमत्तोअ् में لَبَّیْکَ بِالْعُمْرَۃِ और इफ़राद में لَبَّیْکَ بِالْحَجِّ कहे। (दुर्रे मुख़्तार)

तम्बीह :– हर मुसलमान को अरबी पढ़ने का ढंग सीखना बहुत ज़रूरी है।

मसअ्ला :– दूसरे की तरफ़ से हज को गया तो उसकी तरफ़ से हज करने की नियत करे और बेहतर यह है कि लब्बैक में यूँ कहे لَبَّیْکَ عَنْ فُلَانٍ यअ्नी फुलाँ की जगह उसका नाम ले और अगर नाम न लिया मगर दिल में इरादा है जब भी ह़रज नहीं। (मुनसक)

मसअ्ला :– सोने वाले या मरीज़ या बेहोश की तरफ़ से किसी और ने एहराम बाँधा तो वह मुह़रिम हो गया जिसकी तरफ़ से एहराम बाँधा गया मुह़रिम के अहकाम उस पर जारी होंगे अगर कोई ग़लत काम किया तो कफ़्फ़ारा वग़ैरा इसी पर यअ्नी जिसकी तरफ़ से बाँधा गया लाज़िम आयेगा उस पर नहीं जिसने उसकी तरफ़ से एहराम बाँध दिया और एहराम बाँधने वाला ख़ुद भी मुह़रिम है और जुर्म किया तो एक ही जज़ा (बदला) वाजिब होगी दो नहीं कि उसका एक ही एहराम है। मरीज़ और सोने वाले की तरफ़ से एहराम बाँधने में यह ज़रूर है कि एहराम बाँधने का उन्होंने हुक्म दिया हो और बेहोशी में इजाज़त की ज़रूरत नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– हज के तमाम काम पूरा करने तक बेहोश रहा और एहराम के वक़्त होश में था और अप ने आप एहराम बाँधा था तो उसके साथ वाले तमाम मकामात में ले जायें और अगर एहराम के वक़्त भी बेहोश था उन्हीं लौगों ने एहराम बाँध दिया था तो ले जाना बेहतर है ज़रूर नहीं।(दुर्रे)

मसअ्ला :– एहराम के बअ्द मजनून (पागल)हुआ तो हज सही है और जुर्म करेगा तो जज़ा लाज़िम (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– नासमझ बच्चे ने ख़ुद एहराम बाँधा या हज के सारे काम पूरे किये तो हज न हुआ बल्कि उसका वली उसकी तरफ़ से बजा लाये मगर तवाफ़ के बअ्द की दो रकअ्तें कि बच्चे की तरफ़ से वली न पढ़ेगा। उसके साथ बाप और भाई दोनों हों बाप अरकान अदा करे समझ वाला बच्चा ख़ुद हज के काम पूरा करे। रमी वग़ैरा बाज़ बातें छोड़ दें तो उन पर कफ़्फ़ारा वग़ैरा लाज़िम नहीं यूहीं नासमझ बच्चे की तरफ़ से उसके वली ने एहराम बाँधा और बच्चे ने कोई ग़लत काम किया तो बाप पर भी कुछ लाज़िम नहीं।(आलमगीरी रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– बच्चे की तरफ़ से एहराम बाँधा तो उसके सिले हुए कपड़े उतार लेने चाहिए चादर और तहबन्द पहनायें और उन तमाम बातों से बचायें जो मुह़रिम के लिए नाजाइज़ हैं और हज को फ़ासिद कर दिया तो क़ज़ा वाजिब नहीं अगर्चे वह बच्चा समझ वाला हो।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– लब्बैक कहते वक़्त नियत क़िरान की है तो क़िरान है और इफ़राद की है तो इफ़राद अगर्चे ज़बान से न कहा हो। हज के इरादे से गया और एहराम के वक़्त नियत हाज़िर न रही तो हज है और अगर कुछ न थी तो जब तक तवाफ़ न किया हो उसे इख़्तियार है कि हज का एहराम क़रार दे या उमरे का और तवाफ़ का एक फेरा भी कर चुका तो यह एहराम उमरा का हो गया यूहीं तवाफ़ से पहले जिमा किया या रोक दिया गया (जिसको इहसार कहते हैं)तो उमरा क़रार दिया जाये यअ्नी क़ज़ा में उमरा करना काफ़ी है।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिस ने हज्जतुल इस्लाम न किया हो और हज का एहराम बाँधा फ़र्ज़ व नफ़्ल की नियत न की तो हज्जतुल इस्लाम अदा हो गया। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– दो हज का एहराम बाँधा तो दो हज वाजिब हो गये और दो उमरे का बाँधा तो दो उमरे वाजिब हो गये। एहराम बाँधा और हज या उमरा किसी ख़ास को मुअ़य्यन न किया फिर हज का एहराम बाँधा तो पहला उमरा है और दूसरा उमरा का बाँधा तो पहला हज है और अगर दूसरे एहराम में भी कुछ नियत न की तो क़िरान है।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– लब्बैक में हज कहा और नियत उमरा की है लफ़्ज़ का एअ्तिबार नहीं और लब्बैक में हज कहा और नियत दोनों की है तो क़िरान है।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– एहराम बाँधा और याद नहीं कि किस का बाँधा था तो दोनों वाजिब हैं यअ्नी क़िरान के अफ़आल बजा लाये कि पहले उमरा करे फिर हज मगर क़िरान की क़ुर्बानी उसके ज़िम्मा नहीं। अगर दो चीज़ों का एहराम बाँधा और याद नहीं कि दोनों हज हैं या दोनों उमरे या हज व उमरा दोनों तो क़िरान है और क़ुर्बानी वाजिब। हज का एहराम बाँधा और यह नियत नहीं कि किस साल करेगा तो जिस साल एहराम बाँधा उस साल का मुराद लिया जायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मन्नत व नफ़्ल या फ़र्ज़ व नफ़्ल का एहराम बाँधा तो नफ़्ल है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर यह नियत की कि फ़ुलाँ ने जिसका एहराम बाँधा उसी चीज़ का मेरा एहराम है और बअ्द में मअ्लूम हो गया कि उसने किस चीज़ का एहराम बाँधा है तो उसका भी वही है और मअ्लूम न हुआ तो तवाफ़ के पहले फेरे से पेशतर (पहले)जो चाहे मुअ़य्यन कर ले और तवाफ़ का एक फेरा कर लिया तो उमरा का हो गया यूहीं तवाफ़ से पहले जिमाअ् किया या रोक दिया गया या वुक़ूफ़े अरफ़ा का वक़्त न मिला तो उमरा का है।(मुनसक)

मसअ्ला :– हज्जे बदल या मन्नत या नफ़्ल की नियत की तो जो नियत की वही है अगर्चे उसने अब तक फ़र्ज़ हज न किया हो और अगर एक ही हज में फ़र्ज़ व नफ़्ल दोनों की नियत की तो फ़र्ज़ अदा होगा और अगर यह गुमान करके एहराम बाँधा कि यह हज मुझ पर लाज़िम न था तो उस हज को पूरा करना ज़रूरी होगया फ़ासिद करेगा तो क़ज़ा लाज़िम होगी ब–ख़िलाफ़े नमाज़ कि फ़र्ज़ समझ कर शुरूअ् की थी बअ्द को मअ्लूम हुआ कि फ़र्ज़ पढ़ चुका है तो पूरी करना ज़रूरी नहीं फ़ासिद करेगा तो क़ज़ा नहीं। (मुनसक)

मसअ्ला :– लब्बैक कहने के अलावा एक दूसरी सूरत भी एहराम की है अगर्चे लब्बैक न कहना बुरा है कि सुन्नत का तर्क है वह यह कि बदना (यअ्नी ऊँट या गाय)के गले में हार डाल कर हज या उमरा या दोनों में एक ग़ैर मुअ़य्यन के इरादे से हाँकता हुआ ले चला तो मुहरिम हो गया अगर्चे लब्बैक न कहे ख़्वाह: वह बदना नफ़्ल का हो या नज़्र का या शिकार का बदला या कुछ और अगर

दूसरे के हाथ बदना भेजा फिर खुद गया तो जब तक रास्तें में उसे पा न ले मुहरिम न होगा लिहाज़ा अगर मीक़ात तक न पाया तो लब्बैक के साथ एहराम बाँधना ज़रूरी है। हाँ अगर तमत्तोअ़ या क़िरान का जानवर है तो पा लेना शर्त नहीं मगर उसमें यह ज़रूरी है कि हज के महीनों में तमत्तोअ़ या क़िरान का बदना भेजा हो और उन्हीं महीनों में खुद भी चला हो पहले से भेजना काम न देगा और अगर बकरी को हार पहना कर भेजा या ले चला या ऊँट गाय को हार न पहनाया बल्कि निशानी के लिए कोहान चीर दिया या झूल उड़ा दिया तो मुहरिम न हुआ।(आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– चन्द शख़्स बदना में शरीक हैं और उसे लिए जाते हैं सबके हुक्म से एक ने उसे हार पहनाया सब मुहरिम हो गये और बग़ैर उनके हुक्म के उसने पहनाया तो यह मुहरिम हुआ वह न हुए। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– हार पहनाने के यह मअ्ना हैं कि ऊन या बाल की रस्सी में कोई चीज़ बाँध कर उसके गले में लटका दें कि लोगों को मअ्लूम हो जाये कि हरम शरीफ़ में कुर्बानी के लिए है ताकि उस से कोई छेड़छाड़ न करे और रास्ते में थक गया और ज़िबह कर दिया तो उसे मालदार शख़्स न खायें (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– इस सूरत में भी सुन्नत यही है कि बदना को हार पहनाने से पहले लब्बैक कहे।(मुनसक)

वह बातें जो एहराम में हराम है

एहराम की हालत में यह बातें हराम हैं:–(1)औरत से सोहबत(हम्बिस्तरी)(2)बोसा यअ्नी चूमना(3)मसास यअ्नी गोद में लेना(4)गले लगाना(5) उसकी शर्मगाह पर नज़र करना जबकि यह चारों बातें शहवत के साथ हों (6) औरत के सामने जिमाअ् और बोसा वग़ैरा का नाम लेना (7) फ़ुहुश यअ्नी बेहूदा बकवास (8)गुनाह हमेशा हराम थे अब और सख़्त हराम हो गये(9)किसी से दुनियवी लड़ाई झगड़ा(10)जंगल का शिकार खुद करना(11)जंगल के शिकार की तरफ़ शिकार करने को इशारा करना (12) या किसी तरह बताना (13)बन्दूक़ या बारूद या उसके ज़िबह करने की छुरी देना(14)शिकार के अन्डे तोड़ना(15)पर उखाड़ना(16)पाँव या बाज़ू तोड़ना(17)शिकार का दूध दुहना (18)शिकार का गोश्त या (19) अन्डे पकाना या भूनना(20) बेचना (21) ख़रीदना (22) खाना(23)और अपना या दूसरे का नाख़ून कतरना या दूसरे से अपना कतरवाना(24)सर से पाँव तक कहीं से कोई बाल किसी तरह अलग करना (25) मुँह या (26) सर किसी कपड़े वग़ैरा से छुपाना (27) बस्ता या कपड़े की पोटली या गठरी सर पर रखना (28) इमामा बाँधना (29) बुर्का, दस्ताने पहनना मोज़े या जुर्राबें जो पैर के दरमियानी हिस्से को छुपाये (जहाँ अरबी जूते का तस्मा होता है) पहनना अगर जूतियाँ न हों तो मोज़े काट कर पहनें कि वह तस्मा की जगह न छुपे (32)सिला कपड़ा पहनना (33)खुश्बू बालों या (34) बदन या (35) कपड़ों में लगाना(36)मल्लागीरी या कुसूम या ज़अ्फ़रान ग़रज़ किसी खुशबू के रंगे कपड़े पहनना जबकि अभी खुश्बू दे रहे हों(37)ख़ालिस खुश्बू मुश्क अम्बर, ज़अ्फ़रान, जावित्री, लौंग, इलायची, दारचीनी; सोंठ वग़ैरा खाना(38)ऐसी खुश्बू का आँचल में बाँधना जिसमें फ़िलहाल महक हो जैसे मुश्क,अम्बर ,ज़अ्फ़रान(39)सर या दाढ़ी को ख़त्मी या किसी खुश्बूदार ऐसी चीज़ से धोना जिससे जूएँ मर जायें(40) वसमा(एक तरह का रंग जो नील के पत्तों से बनाया जाता है)या मेहंदी का ख़िज़ाब लगाना(41)गोंद वग़ैरा से बाल जमाना(42)ज़ैतून या (43)तिल का तेल अगर्चे बेखुश्बू हो बालों या बदन में लगाना(44)किसी का सर मूँडना अगर्चे उसका एहराम न हो(45)जूँ मारना(46) जूँ फेंकना (47)किसी को जूँ मारने का इशारा करना

(48)कपड़ा उसके मारने को धोना या(49) धूप में डालना(50)बालों में पारा वग़ैरा उसके मारने को लगाना ग़रज़ जूँ के मार डालने पर किसी तरह की मदद करना या कराना।

एहराम के मकरूहात

मसअला :– एहराम में यह बातें मकरूह हैं।(1)बदन का मैल छुड़ाना (2) बाल या बदन खली या साबुन वग़ैरा बेखुश्बू की चीज से धोना (3)कंघी करना(4)इस तरह खुजाना कि बाल टूटने या जूँ के गिरने का अन्देशा हो(5)अंगरखा कुर्ता, चुग़ा पहनने की तरह कन्धों पर डालना (6) खुश्बू की धूनी दिया हुआ कपड़ा कि अभी जिस में खुश्बू बाक़ी हो उसे पहनना या ओढ़ना (7)जानबूझ कर खुश्बू सूँघना अगर्चे खुश्बुदार फल या पत्ता हों जैसे नींबू नारंगी पोदीना, इत्रदाना (8)इत्रफ़रोश की दुकान पर इस ग़रज़ से बैठना कि खुश्बू से दिमाग़ मुअत्तर होगा (9)सर(10)या मुँह पर पट्टी बाँधना (11)ग़िलाफ़े कअ्बा के अन्दर इस तरह दाख़िल होना कि ग़िलाफ़ शरीफ़ सर या मुँह से लगे (12)नाक वग़ैरा मुँह का कोई हिस्सा कपड़े से छुपाना (13)कोई ऐसी चीज़ खाना पीना जिसमें खुश्बू पड़ी हो और न वह पकाई गई हो न महक ख़त्म हो गई हो(14)बिना सिला कपड़ा रफू किया हुआ या पैवन्द लगा हुआ पहननाे(15) तकिया पर मुँह रख कर औंधा यअ्नी मुँह नीचे की तरफ़ करके लेटना(16)महकती खुश्बू हाथ से छूना जबकि हाथ में लग न जाये, और अगर खुश्बू हाथ में लग गई तो हराम है(17)बाजू या गले पर तावीज़ बाँधना अगर्चे बे–सिले कपड़े में लपेट कर बाँधे(18)बिला उज़्र बदन पर पट्टी बाँधना(19)सिंगार करना (20)चादर ओढ़ कर उसके आँचलों में गिरह दे देना जैसे गाँती बाँधते हैं उस तरह बाँधना या किसी और तरह पर बाँधना जबकि सर खुला हो और अगर सर छुपा होगा तो हराम है (21)यूँही तहबन्द के दोनों किनारों में गिरह(गाँठ)देना (22)तहबन्द बाँध कर कमरबन्द या रस्सी से कसना।

यह बातें एहराम में जाइज़ हैं

(1)अंगरखा, कुर्ता चुग़ा लेट कर ऊपर से इस तरह डाल लेना कि सर और मुँह न छुपे (2) इन चीज़ों या पाजामा का तहबन्द बाँध लेना (3)चादर के आँचलों को तहबन्द में घुरसना(4)हिमयानी यअ्नी वह थैली की तरह पट्टी जिसमें रुपया–पैसा रख कर सफ़र की हालत में कमर से बाँध लेते हैं या सिर्फ़ (5) पट्टी बाँधना या (6) हथियार बाँधना (7) बेमैल छुड़ाए लोटे वग़ैरा से नहाना(8)पानी में ग़ोता लगाना(9)कपड़े धोना जबकि जूँ मारने की ग़रज़ से न हो(10)मिस्वाक करना(11)किसी चीज़ के साया में बैठना(12)छतरी लगाना(13)अँगूठी पहनना(14)बे–खुश्बू का सुर्मा लगाना(15)दाढ़ उखाड़ना(16) टूटे हुए नाख़ुन का जुदा करना(17)दुम्बल (फ़ोड़ा)या फुन्सी तोड़ देना(18)ख़तना करना(19)फ़स्द खोलना यअ्नी ख़ून निकलवाना या निकालना(20)बग़ैर बाल मूँडे पछने कराना(21)आँख में जो बाल निकले उसे जुदा करना (22) सर या बदन इस तरह आहिस्ता खुजाना कि बाल न टूटे(23)एहराम से पहले जो खुश्बू लगाई उसका लगा रहना,(24)पालतू जानवर ऊँट,गाय बकरी, मुर्गी वग़ैरा जिबह करना (25)पकाना(26) खाना (27) उस का दूध दुहना (28) उस के अन्डे तोड़ना, भूनना, खाना (29)जिस जानवर को ग़ैर मुहरिम ने शिकार किया और किसी मुहरिम ने उसके शिकार या ज़िबह में किसी तरह की मदद न की हो उसका खाना इस शर्तों के साथ कि वह जानवर न हरम का हो न हरम में ज़बह किया गया हो (30) खाने के लिए मछली का शिकार करना (31) दवा के लिए किसी दरियाई जानवर का मारना, दवा या ग़िज़ा के लिए न हो सिर्फ़ दिल बहलाने के लिए हो जिस तरह लोगों में राइज है तो शिकार दरिया का हो या जंगल का खुद ही

हराम है और एहराम में और सख़्त हराम (32) हरम के बाहर की घास उखाड़ना या (33)दरख़्त काटना(34)चील,(35)कौआ चूहा, (37) गिरगिट, (38) छिपकली,(39)साँप,(40)बिच्छू (41) खटमल,(42) मच्छर,(43)पिस्सू (44) मक्खी वग़ैरा ख़बीस व मूज़ी(तकलीफ़ देने वाले)जानवरों का मारना अगर्चे हरम में हो(45)मुँह और सर के सिवा किसी और जगह ज़ख़्म पर पट्टी बाँधना (46)सर या (47)गाल के नीचे तकिया रखना(48)सर या(49)नाक पर अपना या दूसरे का हाथ रखना(50) कान कपड़े से छुपाना (51) ठोड़ी से नीचे दाढ़ी पर कपड़ा आना(52)सर पर सीनी(थाल) या बोरी उठाना(53)जिस खाने के पकने में मुश्क वग़ैरा पड़े हों अगर्चे ख़ुश्बू दें या(54)बे–पकाये जिसमें कोई ख़ुश्बू डाली और वह बू नहीं देती उसका खाना–पीना(55)घी या चर्बी या कड़वा तेल या नारियल या बादाम या लौकी का तेल कि अलग से इन चीज़ों में ख़ुशबू न मिलाई गई हो,इनका बालों या बदन में लगाना(56) ख़ुश्बू के रंगे हुए कपड़े पहनना जबकि उनकी ख़ुश्बू जाती रही हो मगर कुसुम, ज़ाफ़रान का रंग मर्द को वैसे ही हराम है(57) दीन के लिए झगड़ना बल्कि इसबे हाजत यअ़नी ज़रूरत के वक़्त फ़र्ज़ व वाजिब है(58)जूता पहनना जो पाँव के जोड़ को न छुपाये (59) बिना सिले कपड़े में लपेट कर तअ़वीज़ गले में डालना(60)आईना देखना(61) ऐसी ख़ुश्बू का छूना जिसमें फ़िलहाल महक नहीं जैसे अगर, लोबान, सन्दल या (62)उसका आँचल में बाँधना (63) निकाह करना।

एहराम में मर्द और औरत के फ़र्क़

इन ज़िक्र किये गये मसाइल में मर्द व औरत बराबर हैं मगर औरत को चन्द बातें जाइज़ हैं। (1)सर छुपाना बल्कि ना–महरम के सामने और नमाज़ में फ़र्ज़ है(2)सर पर बिस्तर या बुक़चा(गठरी) उठाना जाइज़ है(3)गोंद वग़ैरा से बाल जमाना (4) सर वग़ैरा पर पट्टी ख़्वाह बाज़ू या गले पर तावीज़ बाँधना अगर्चे सी कर(5) ग़िलाफ़े कअ़बा के अन्दर यूँ दाख़िल होना कि सर पर रहे मुँह पर न आये(6) दस्ताने, (7) मोज़े (8)सिले कपड़े पहनना (9) औरत इतनी आवाज़ से लब्बैक न कहे कि नामहरम सुने हाँ इतनी आवाज़ हर पढ़ने में हमेशा सबको ज़रूर है कि अपने कान तक आवाज़ आये।

तम्बीह :– एहराम में मुँह छुपाना औरत को भी हराम है ना–महरम के आगे कोई पंखा वग़ैरा मुँह से बचा हुआ सामने रखे।

जो बातें एहराम में नाजाइज़ हैं वह किसी उज़्र से या भूल कर हों तो गुनाह नहीं मगर उन पर जो जुर्माना मुक़र्रर है हर तरह देना ज़रूरी है अगर्चे बे–ख़्याली में हों या सहवन(भूल से) या जबरन(जबरदस्ती)या सोते में। तवाफ़े क़ुदूम के सिवा एहराम के वक़्त से जुमरा की रमी तक जिस का ज़िक्र आयेगा अक्सर औक़ात लब्बैक की बे–शुमार कसरत रखे यअ़नी ख़ूब कहता रहे,उठते –बैठते ,चलते–फ़िरते ,वुज़ू–बेवुज़ू हर हाल में ख़ुसूसन चढ़ाई पर चढ़ते उतरते वक़्त दो क़ाफ़िलों के मिलते, सुब्ह शाम, पिछली रात पाँचों नमाज़ों के बाद ग़रज़ यह कि हर हालत बदलने पर मर्द बा आवाज़ कहें मगर न इतनी बुलन्द कि अपने आप या दूसरे को तकलीफ़ हो और औरतें पस्त(हल्की) आवाज़ से मगर न इतनी पस्त आवाज़ से कि ख़ुद भी न सुनें।

दाख़िले हरमे मुहतरम व मक्कए मुकर्रमा व मस्जिदे हराम

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّ ارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ

اِسْمٰعِيْلُ ط رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ط اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ٥

तर्जमा : – ''और जब इब्राहीम ने कहा ,ऐ परवर्दिगार! इस शहर को अमन वाला कर दे और इसके अहल (रहने वालों) में से जो अल्लाह और पिछले दिन (क़ियामत) पर ईमान लाये उन्हें फलों से रोज़ी दे। फ़रमाया अल्लाह ने और जिसने कुफ़्र किया उसे भी कुछ बरतने को दूँगा फिर उसे आग के अज़ाब की तरफ़ मुज़तरब (मजबूर) करूँगा और बुरा ठिकाना है वह। और जब इब्राहीम व इस्माईल ख़ानए कअ़बा की बुनियादें बलन्द करते हुए कहते थे ऐ परवर्दिगार! तू हम से (इस काम)को क़बूल फ़रमा बेशक तू ही है सुनने वाला और जानने वाला और हमें तू अपना फ़रमाँबरदार बना और हमारी ज़ुर्रियत (औलाद) से एक गिरोह को अपना फरमाँबरदार बना और हमारे इबादत के तरीक़े हम को दिखा और हम पर रुजूअ़ फ़रमाँ बेशक तू ही बड़ा तौबा क़बूल फ़रमाने वाला रहम करने वाला है''।

और फ़रमाता है:–

٥اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰٓى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

तर्जमा :– क्या हमने उसे अमन वाले हरम में क़ुदरत न दी कि वहाँ हर क़िस्म के फल लाये जाते हैं जो हमारी जानिब से रिज़्क़ हैं मगर बहुत से लोग नहीं जानते।

और फ़रमाता है : –

٥اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِيْ حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ شَيْءٍ وَّاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

तर्जमा :– '' मुझे तो यही हुक्म हुआ कि इस शहर के परवर्दिगार की इबादत करूँ जिसने इसे हरम किया और उसी के लिए हर शय है और मुझे हुक्म हुआ कि मैं मुसलमानों में से रहूँ''।

हदीस न.1व 2 :– सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम में अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़तहे मक्का के दिन यह इरशाद फ़रमाया इस शहर को अल्लाह तआ़ला ने हरम (बुजुर्ग) कर दिया है जिस दिन आसमान व ज़मीन को पैदा किया तो वह रोज़े क़ियामत तक के लिए अल्लाह तआ़ला के किये से हरम है मुझसे पहले किसी के लिए इसमें क़िताल हलाल (जाइज़)न हुआ और मेरे लिए सिर्फ़ थोड़े से वक़्त में हलाल हुआ और अब फिर वह क़ियामत तक के लिए हराम है न यहाँ का काटने वाला दरख़्त काटा जाये न इसका शिकार भगाया जाये और न यहाँ का पड़ा हुआ माल कोई उठाये मगर जो एअ़लान करना चाहता हो (उसे उठाना जाइज़ है)और न यहाँ की तर घास काटी जाये। हज़रते अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह! मगर अज़ख़र (एक क़िस्म की घास है)उसके काटने की इजाज़त दे दीजिये कि लुहारों और घर के बनाने में काम आती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने उसकी इजाज़त दे दी। इसी की मिस्ल अबूशुरैह अ़दवी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी है।

हदीस न.3 :– इब्ने माजा अयाश इब्ने अबी रबीआ़ मख़ज़ूमी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया यह उम्मत हमेशा ख़ैर के साथ रहेगी

जब तक इस हुरमत की पूरी तअ्ज़ीम करती रहेगी और जब लोग उसे ज़ाए कर देंगे यअ्नी तअ्ज़ीम नहीं करेंगे तो हलाक (बर्बाद) हो जायेंगे।

हदीस न.4 :– तबरानी औसत में जाबिर रदियल्लल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कअ्बा के लिए ज़बान और होंट हैं उसने शिकायत की कि ऐ रब! मेरे पास आने वाले और मेरी ज़्यारत करने वाले कम हैं अल्लाह तआ़ला ने 'वही' की कि मैं खुशुअ् करने वाले, सज्दा करने वाले आदमियों को पैदा करूँगा जो तेरी त़रफ़ ऐसे माइल होंगे (दौड़ेंगे)जैसे कबूतरी अपने अन्डे की त़रफ़ माइल होती है।

हदीस न. 5 :– सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम में इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ़ लाते तो ज़ीतुवा (जगह का नाम है)में रात गुज़ारते जब सुबह होती गुस्ल करते और नमाज़ पढ़ते और दिन में मक्का में दाख़िल होते और जब मक्का से तशरीफ़ ले जाते तो सुबह तक ज़ीतुवा में क़ियाम फ़रमाते।

दाख़िली हरम के अहकाम

(1) जब हरमे मक्का के मुत्तसिल(क़रीब) पहुँचे, सर झुकाये, आँखें गुनाह के शर्म से नीची किये, खुशअ् व खुज़ूअ् से दाख़िल हो और हो सके तो पैदल, नंगे पाँव और लब्बैक व दुआ़ की कसरत रखे और बेहतर यह कि दिन में नहा कर दाख़िल हो, हैज व निफ़ास वाली औ़रत को भी नहाना मुस्तहब है।

(2) मक्का मुअ़ज़्ज़मा के आसपास कई कोस तक हरम का जंगल है हर त़रफ़ उसकी हदें बनी हुई हैं उन हदों के अन्दर तर(गीली)घास उखेड़ना, ख़ुद से उगे हुए पेड़ का काटना वहाँ के वहशी (जंगली)जानवरों को तकलीफ़ देना हराम है, यहाँ तक कि अगर सख़्त धूप हो और एक ही पेड़ है उसके साये में हिरन बैठा है तो जाइज़ नहीं कि अपने बैठने के लिये उसे उठाये और अगर वहशी जानवर बेरूने हरम(हरम के बाहर)का उसके हाथ में था उसे लिए हुए हरम में दाख़िल हुआ अब वह जानवर हरम का हो गया फ़र्ज़ है कि फ़ौरन–फ़ौरन छोड़ दे। मक्कए मुअ़ज़्ज़मा में जंगली कबूतर बहुत हैं। हर मकान में रहते हैं। ख़बरदार! हरगिज़–हरगिज़ न उड़ाये न डराये न कोई ईज़ा (तकलीफ़)पहुँचाये। बाज़ इधर–उधर के लोग जो मक्कए मुअ़ज़्ज़मा में बसे हुए हैं उन कबूतरों का अदब नहीं करते उनकी बराबरी न करें मगर उन्हें बुरा भी न कहें कि जब वहाँ के जानवर का अदब है तो मुसलमान इन्सान का क्या कहना। यह बातें जो हरम के मुतअ़ल्लिक़ बयान की गई एहराम के साथ ख़ास नहीं एहराम हो या न हो बहरहाल यह बातें हराम हैं।

नोट :– कहा जाता है कि यह कबूतर उस मुबारक जोड़े की नस्ल से हैं जिसने हुज़ूर सय्यिदे आ़लम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की हिजरत के वक़्त ग़ारे सौर में अन्डे दिये थे। अल्लाह तआ़ला ने इस ख़िदमत के सिला(बदले) में उनको अपने हरमे पाक में जगह बख़्शी।

(3) जब मक्कए मुअ़ज़्ज़मा नज़र पड़े ठहर कर दुआ़ पढ़े

اَللّٰھُمَّ اجْعَلْ لِّیْ بِھَا قَرَارًا وَّ ارْزُقْنِیْ فِیْھَا رِزْقًا حَلَالًا۔

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह! तू मुझे इसमें बरक़रार रख और मुझे इसमें हलाल रोज़ी दे"।

और दुरुद शरीफ़ की कसरत करे और अफ़ज़ल यह है कि नहा कर दाख़िल हो और जन्नतुल

मुअ़ल्ला में दफ़न किये हुए मुसलमानों के लिए फ़ातिहा पढ़े और मक्कए मुअ़ज़्ज़मा में दाख़िल होते वक़्त यह दुआ़ पढ़े।

اَللّٰھُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ وَ اَنَا عَبْدُکَ وَ الْبَلَدُ بَلَدُکَ جِئْتُکَ ھَارِبًا مِّنْکَ اِلَیْکَ لِاُدِّیَ فَرَائِضَکَ وَ اَطْلُبَ رَحْمَتَکَ وَ اَلْتَمِسَ رِضْوَانَکَ اَسْئَلُکَ مَسْئَلَۃَ الْمُضْطَرِّیْنَ اِلَیْکَ الْخَائِفِیْنَ عُقُوْبَتَکَ اَسْئَلُکَ اَنْ تُقْبِلَنِیَ الْیَوْمَ بِعَفْوِکَ وَ تُدْخِلَنِیْ فِیْ رَحْمَتِکَ وَ تَتَجَاوَزَ عَنِّیْ بِمَغْفِرَتِکَ وَ تُعِیْنَنِیْ عَلٰی اَدَآءِ فَرَائِضِکَ اَللّٰھُمَّ نَجِّنِیْ مِنْ عَذَابِکَ وَافْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِکَ وَ اَدْخِلْنِیْ فِیْھَا وَ اَعِذْنِیْ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ ط

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह! तू मेरा रब है और मैं तेरा बन्दा हूँ और यह शहर तेरा शहर है मैं तेरे पास तेरे अ़ज़ाब से भाग कर हाज़िर हुआ कि तेरे फ़राइज़ को अदा करूँ और तेरी रहमत को त़लब करूँ और तेरी रज़ा को तलाश करूँ मैं तुझ से इस त़रह सवाल करता हूँ जैसे मुज़्तर(बेक़रार,मजबूर)और तेरे अ़ज़ाब से डरने वाले सवाल करते हैं मैं तुझ से सवाल करता हूँ कि आज तू अपने अ़फ़्व के साथ मुझ को क़बूल कर और अपनी रहमत में मुझे दाख़िल कर अपनी मग़फ़िरत के साथ मुझसे दरगुज़र फ़रमा और फ़राइज़ की अदा पर मेरी इआ़नत(मदद)कर। ऐ अल्लाह! मुझको अपने अ़ज़ाब से नजात (छुटकारा)दे और मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे और उसमें मुझे दाख़िल कर और शैत़ान मरदूद से मुझे पनाह में रख।"

(4)जब मदआ़ में पहुँचे यह वह जगह है यहाँ से कअ़्बए मुअ़ज़्ज़मा नज़र आता था जबकि दरमियान में इमारतें हाइल न थीं। यह अ़ज़ीम इजाबत व क़बूल का वक़्त है यहाँ ठहरे और सिद्क़े दिल (दिल की सच्चाई)से अपने और तमाम अ़ज़ीज़ों, दोस्तों, तमाम मुसलमानों के लिए मग़फ़िरत व आ़फ़ियत माँगे(माफ़ी चाहे)और बग़ैर हिसाब जन्नत में जाने की दुआ़ करे और दूरूद शरीफ़ की कसरत इस मौक़े पर बहुत अहम है। इस मक़ाम पर तीन बार **"अल्लाहु अकबर"**और तीन मरतबा **"लाइला–ह इल्लल्लाह"**कहे

और यह पढ़े :

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَۃً وَّ فِی الْاٰخِرَۃِ حَسَنَۃً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ مِنْ خَیْرِ مَا سَاَلَکَ مِنْہُ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ وَاَعُوْذُبِکَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَکَ مِنْہُ نَبِیُّکَ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی نَبِیُّکَ عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ.

तर्जमा :– " ऐ रब ! तू दुनिया में हमें भलाई दे और आख़िरत में भलाई दे और जहन्नम के अ़ज़ाब से हमें बचा। ऐ अल्लाह ! मैं उस ख़ैर में से सवाल करता हूँ जिसका तेरे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने तुझसे सवाल किया और तेरी पनाह माँगता हूँ उन चीज़ों के शर से जिनसे तेरे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने पनाह माँगी" और यह दुआ़ भी पढ़े।

اَللّٰھُمَّ اِیْمَانًا بِکَ وَ تَصْدِیْقًا بِکِتَابِکَ وَ وَفَاءً بِعَھْدِکَ وَ اِتِّبَاعًا لِسُنَّۃِ نَبِیِّکَ سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمَ. اَللّٰھُمَّ زِدْ بَیْتَکَ ھٰذَا تَعْظِیْمًا وَّ تَشْرِیْفًا وَّ مَھَابَۃً وَ زِدْ مِنْ تَعْظِیْمِہٖ وَ تَشْرِیْفِہٖ مَنْ حَجَّہٗ وَ اعْتَمَرَہٗ تَعْظِیْمًا وَّ مَھَابَۃً

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह! तुझ पर ईमान लाया और तेरी किताब की तस्दीक़ की और तेरे अहद को पूरा किया और तेरे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इत्तिबाअ़ (पैरवी)किया। ऐ अल्लाह! तू अपने इस घर की तअ़ज़ीम व शराफ़त व हैबत ज़्यादा कर और इस तअ़ज़ीम व तशरीफ़ से उस शख़्स की अज़मत व शराफ़त व हैबत ज़्यादा कर जिसने इसका हज व उमरा किया"

और यह जामेअ़ दुआ कम से कम तीन बार इस जगह पढ़ें :

اَللّٰهُمَّ هٰذَا بَيْتُكَ وَ اَنَا عَبْدُكَ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ فِى الدِّيْنِ وَ الدُّنْيَا

وَ الْاٰخِرَةِ لِىْ وَ لِوَالِدَىَّ وَ لِلْمُؤمِنِيْنَ وَ الْمُؤمِنَاتِ وَ لِعُبَيْدِكَ اَمْجَدُ عَلى

اَللّٰهُمَّ انْصُرْهُ نَصْرًا عَزِيْزًا اٰمِيْنَ.

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह! यह तेरा घर है और मैं तेरा बन्दा हूँ अफ़्व आफ़ियत का सवाल तुझसे करता हूँ दीन व दुनिया व आख़िरत में मेरे लिए और मेरे वालिदैन और तमाम मोमिनीन व मोमिनात के लिए और तेरे हक़ीर बन्दे अमजद अली के लिए, इलाही तू उसकी क़वी मदद कर।आमीन!

नोट :– दुआ पढ़ने वाला इस दुआ में अमजद अली की जगह अपना नाम ले (कादरी)

मसअला :– जब मक्कए मुअ़ज़्ज़मा में पहुँच जाये तो सबसे पहले मस्जिदे हराम में जाये। खाने, पीने, कपड़े बदलने ,मकान ,किराया पर लेने, वग़ैरा दूसरे कामों में मशग़ूल न हो। हाँ अगर उज़्र हो मसलन सामान को छोड़ता है तो ज़ाए होने का अन्देशा है तो महफ़ूज़ जगह रखवाने या किसी और ज़रूरी काम में मशग़ूल हुआ तो हरज नहीं और अगर चन्द शख़्स हों तो चले जायें। (मुनसक) (5)ख़ुदा व रसूल का ज़िक्र और अपने तमाम मुसलमानों के लिए दोनों जहान की भलाई की दुआ करता हुआ और लब्बैक कहता हुआ बाबुस्सलाम तक पहुँचे और उस आस्तानए पाक को बोसा देकर पहले दाहिना पाँव रख कर दाख़िल हो और यह कहे। :

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.بِسْمِ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ .اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِ نَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اَزْوَاجِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ .اَللّٰهُمَّ

اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ .

तर्जमा :– " मैं ख़ुदाए अज़ीम की पनाह माँगता हूँ और उसके वजहे करीम की और क़दीम सल्तनत की मरदूद शैतान से। अल्लाह के नाम की मदद से। सब ख़ूबियाँ अल्लाह के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सलाम। ऐ अल्लाह ! दुरूद भेज हमारे आक़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि, वसल्लम और उनकी आल और उनकी मुक़द्दस बीवियों पर। इलाही मेरे गुनाह बख़्श दे और मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। "

यह दुआ खूब याद रखे जब कभी मस्जिदे हराम शरीफ़ या और किसी मस्जिद में दाख़िल हो उसी तरह दाख़िल हो और यह दुआ पढ़ लिया करे और उस वक़्त ख़ुसूसियत के साथ इस दुआ के साथ इतना और मिलाये। :

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ .وَ اِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ.حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ.وَ اَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ.تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَ تَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا حَرَمُكَ وَ مَوْضِعُ اَمْنِكَ فَحَرِّمْ لَحْمِىْ وَ بَشَرِىْ وَ دَمِىْ وَ

مُخِّیْ وَ عِظَامِیْ عَلَی النَّارِ.

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह ! तू सलाम है और तुझी से सलामती है और तेरी तरफ़ सलामती लौटती है। ऐ हमारे रब! हमको सलामती के साथ ज़िन्दा रख। दारुस्सलाम (जन्नत) में दाख़िल कर। ऐ हमारे रब! तू बरकत वाला और बलन्द है। ऐ जलाल व बुजुर्गी वाले। इलाही यह तेरा हरम है और तेरी अमन की जगह है मेरे गोश्त और पोस्त और खून और, मग़ज़ और हड्डियों को जहन्नम पर हराम कर दे" और जब किसी मस्जिद से बाहर आये पहले बायाँ क़दम बाहर रखे और वही दुआ पढ़े मगर आख़िर में رَحْمَتِكَ की जगह فَضْلِكَ कहे और इतना और बढ़ाए

وَ سَهِّلْ لِیْ اَبْوَابَ رِزْقِكَ

तर्जमा :– " और मेरे लिए अपने रिज़्क के दरवाज़े आसान कर दे इसकी बरकत दीन व दुनिया में बेशुमार है। अल्हम्दुल्लिाह!

(6)जब कअ़बए मुअ़ज़्ज़मा पर नज़र पड़े तीन बार" **लाइलाह इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर**" कहे और दुरूद शरीफ़ और यह दुआ पढ़े :–

اَللّٰهُمَّ زِدْ بَیْتَكَ هٰذَا تَعْظِیْمًا وَّ تَشْرِیْفًا وَّ تَكْرِیْمًا وَّ بِرًّا وَّ مَهَابَةً اَللّٰهُم اَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِلَا حِسَابٍ ط. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ اَنْ تَغْفِرَلِیْ وَ تَرْحَمَنِیْ وَ تُقِیْلَ عَثْرَتِیْ وَ تَضَعَ وِزْرِیْ بِرَحْمَتِكَ یَااَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ عَبْدُكَ وَ زَائِرُكَ وَعَلٰی كُلِّ مَزُوْرٍ حَقٌّ وَّ اَنْتَ خَیْرُ مَزُوْرٍ فَاَسْئَلُكَ اَنْ تَرْحَمَنِیْ وَ تَفُكَّ رَقَبَتِیْ مِنَ النَّارِ.

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह! तू अपने इस घर की अज़मत व शराफ़त बुजुर्गी व नेकूई (अच्छाई)व हैबत ज़्यादा कर। ऐ अल्लाह! हम को जन्नत में बिला हिसाब दाख़िल कर। इलाही मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि मेरी मग़फ़िरत कर दे और मुझ पर रहम कर और मेरी लग़ज़िश (ग़लती)दूर कर और अपनी रहमत से मेरे गुनाह दफ़अ़ कर (दूर कर) ऐ सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान! इलाही मैं तेरा बन्दा और तेरा ज़ाइर (ज़्यारत करने वाला)हूँ और जिसकी ज़्यारत की जाये उस पर हक़ होता है और तू सब से बेहतर ज़्यारत किया हुआ है, मैं यह सवाल करता हूँ कि मुझ पर रहम कर और मेरी गर्दन जहन्नम से आज़ाद कर।"

तवाफ़ व सई व सफ़ा व मरवा और उमरा का बयान

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है :–

وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَ اَمْنًا ط وَ اتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِمَ مُصَلًّی ط وَعَهِدْنَآ اِلٰٓی اِبْرٰهِمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ اَنْ طَهِّرَا بَیْتِیَ لِلطَّآئِفِیْنَ وَ الْعَاكِفِیْنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ۝

तर्जमा :– "और याद करो जबकि हमनें कअ़बा को लोगों का मरजेअ़ (आने की जगह)और अमन किया और मक़ामे इब्राहीम से नमाज़ पढ़ने की जगह बनाओ और हमने इब्राहीम व इस्माईल की तरफ़ अ़हद किया कि मेरे घर का तवाफ़ करने वालों और एअ़तिकाफ़ करने वालों और रुकूअ़ सुजूद करने वालों के लिए पाक करो।

और अल्लाह फ़रमाता है :–

وَ اِذْ بَوَّانَا لِاِ بْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا وَّ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَ الْقَآئِمِيْنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ٥ وَ اَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالًا وَّ عَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ٥ لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْۤ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَ اَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ ٥ ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ٥ ذٰلِكَ وَ مَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ط

तर्जमा :– " और जबकि हमने इब्राहीम को पनाह दी ख़ानए कअ्बा की जगह में यूँ कि मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक न कर और मेरे घर को तवाफ़ करने वालों और क़ियाम करने वालों और रुकूअ़ सज्दा करने वालों के लिए पाक कर और लोगों में हज का एअ्लान कर दे लोग तेरे पास पैदल आयेंगे और कमज़ोर ऊँटनियों पर कि हर राहे बईद (दूर रास्ते) से आयेंगी ताकि अपने नफ़अ् की जगह में हाज़िर हों और अल्लाह के नाम को याद करें मअ्लूम दिनों में, इस पर कि उन्हें चौपाये जानवर अ़ता किये तो उनमें से खाओ और नाउम्मीद फ़क़ीर को खिलाओ फिर अपने मैल कुचैल उतारें और अपनी मन्नतें पूरी करें और उस आज़ाद घर (कअ्बा) का तवाफ़ करें बात यह है और जो अल्लाह के घर की तअ्ज़ीम करे तो यह उसके लिए उसके रब के नज़दीक बेहतर है"।

और अल्लाह फ़रमाता है

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ط وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ٥

तर्जमा :– " बेशक सफ़ा व मरवा अल्लाह की निशानियों से हैं जिसने कअ्बा का हज या उ़मरा किया उस पर इसमें गुनाह नहीं कि उन दोनों का तवाफ़ करे और जिस ने ज़्यादा ख़ैर किया तो अल्लाह बदला देने वाला इल्म वाला है"।

हदीस न.1 :– सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम में उम्मुलमोमिनीन सिद्दीक़ा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से मरवी फ़रमाती हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम हज के लिए मक्का में तशरीफ़ लाये सब कामों से पहले वुज़ू करके बैतुल्लाह (कअ्बा शरीफ़)का तवाफ़ किया।

हदीस न.2 :– सहीह मुस्लिम शरीफ़ में इब्ने उ़मर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद से हजरे अस्वद तक तीन फेरों में रमल किया और चार फेरे चल कर किये और एक रिवायत में है फिर सफ़ा मरवा के दरमियान सई(दौड)फ़रमाई

हदीस न.3 :– सहीह मुस्लिम में जाबिर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जब मक्का में तशरीफ़ लाये तो हजरे असवद के पास आकर उसे बोसा दिया फिर दाहिने हाथ को चले और तीन फेरों में रमल किया यअ्नी कन्धा हिला–हिला कर बहादुरों की तरह चले।

हदीस न.4 :– सहीह मुस्लिम में अबू तुफ़ैल रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह का तवाफ़ करते देखा और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक(मुबारक हाथ) में छड़ी थी उस छड़ी को हजरे असवद से लगा कर बोसा देते।

हदीस न.5:– अबूदाऊद ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला आलैहि वसल्लम मक्का में दाख़िल हुए तो हजरे असवद की तरफ़ मुतवज्जेह हुए उसे बोसा दिया, फिर तवाफ़ किया,फिर सफ़ा के पास आये उस पर चढ़े यहाँ तक कि बैतुल्लाह (कअ्बा शरीफ़)नज़र आने लगा फिर हाथ उठा कर ज़िक्रे इलाही में मशग़ूल रहे जब तक ख़ुदा ने चाहा और दुआ की।

हदीस न.6 :– इमाम अहमद ने उबैद इब्ने उमैर से रिवायत की है कि आप हजरे असवद व रुक्ने यमानी को बोसा देते हैं जवाब दिया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि इनका बोसा देना ख़ताओं (गुनाहों)को गिरा देता है और मैंने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना जिस ने सात फेरे तवाफ़ किया इस तरह कि अदब का लिहाज़ रखा और दो रकअ्त नमाज़ पढ़ी तो यह गर्दन (यअ्नी ग़ुलाम)आज़ाद करने की मिस्ल है और मैंने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि तवाफ़ में हर क़दम कि उठाता और रखता है उस पर दस नेकियाँ लिखी जाती हैं और दस गुनाह मिटाये जाते हैं और दस दर्जे बलन्द किये जाते हैं। इसी के क़रीब–क़रीब तिर्मिज़ी व हाकिम व इब्ने ख़ुज़ैमा वग़ैराहुमा ने भी रिवायत की।

हदीस न.7 :– तबरानी कबीर में मुहम्मद इब्ने मुनकदिर से रावी वह अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो बैतुल्लाह का सात फेरे तवाफ़ करे और उसमें कोई लग्व (बेहूदा) बात न करे तो ऐसा है जैसे गर्दन आज़ाद की।

हदीस न.8 :– असबहानी अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कहते हैं जिसने कामिल वुज़ू किया फिर हजरे असवद के पास बोसा देने को आया वह रहमत में दाख़िल हुआ फिर जब बोसा दिया और यह पढ़ा।

بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ. اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ.

उसे रहमत ने ढाँक लिया फिर जब बैतुल्लाह का तवाफ़ किया तो हर क़दम के बदले सत्तर हज़ार नेकियाँ लिखी जायेंगी और सत्तर हज़ार गुनाह मिटा दिये जायेंगे और सत्तर हज़ार दर्जे बलन्द किये जायेंगे और अपने घर वालों में सत्तर की शफ़ाअत करेगा फिर जब मक़ामे इब्राहीम पर आया और वहाँ दो रकअ्त नमाज़ ईमान की वजह से और सवाब हासिल करने के लिए पढ़ी तो उसके लिए औलादे इस्माईल में से चार ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब लिखा ज़ायेगा और गुनाहों से ऐसा निकल जायेगा जैसे आज अपनी माँ से पैदा हुआ।

हदीस न.9 :– बैहक़ी इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं बैतुलहराम के हज करने वालों पर हर रोज़ अल्लाह तआला एक

हमे बड़ी मुसर्रत हो रही है कि अल्लाह त'आला और उसके हबीब सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम के हुक्म फ़ज़्ल-ओ-करम से और बुज़ुर्गाने दीन सिलसिला-ए-क़ादिरिया बिलख़ुसूस पिराने पीर दस्तगीर हुज़ूर ग़ौस-ए-आज़म शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रादिअल्लाहु त'आला अन्हू के फ़ैज़ से क़िताब बहार-ए-शरीअत (हिस्सा 01 से 10) हिंदी में पीडीएफ [PDF] में आप की खिदमत में पेश की जा रही है।

ज़माना-ए- क़दीम से अवमुन्नास की इस्लाहे हाल और हिदायते उख़रवी व दुनयवी के लिए हक़ सदाक़त के जाम की फ़राहमी की जाती रही हैं और ये इलतेज़ाम ख़ालिक़-ए-क़ायनात जल्ला जलालहु ने ब अहसान अपनी मख़लूक़ के लिए फ़रमाया है। अम्बिया व मुर्सलीन के बेहतरीन दौर के बाद उसने यह ख़िदमत अपने मुक़र्रबीन रिज़वानुल्लाह त'आला अलैहिम अजमईन के सुपुर्द की और यह सिलसिला अला हालही जारी व सारि है।

मज़हब-ए-इस्लाम अल्लाह त'आला का पसंदीदा दीन है । ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नही जिसके लिए इस्लाम ने हमे क़ानून न दिया हो ।

आज जिस दौर से हम गुज़र रहे है हमारा मुस्लिम तबका उर्दू की तरफ ध्यान नही दे रहा है और नई नस्ल तो बिल्कुल ही उर्दू से नावाक़िफ़ होती जा रही है । नतीजे के तौर पर दीनी और मज़हबी दिलचस्पियाँ कम हो रही है और हम अपने हाल को ग़ैर मुंज़बित तरीके पे छोड़े रहते है ।

लिहाज़ा ये किताब हिंदी में लिखी गई है और आप सब की आसानी के लिए हम ने इस किताब को पीडीएफ फ़ाइल में आप की ख़िदमत में पेश किया है।
आप सब से हमारी गुज़ारिश है कि अपनी मसरूफ ज़िन्दगी में से रोज़ाना वक़्त निकाल कर बुज़ुर्गो की तस्नीफ़ करदा किताबो को मुताला में रखें , इंशा अल्लाह त'आला दीन और दुनिया दोनो में मक़बूल होंगे।

दुआओं के तलबगार

वसीम अहमद रज़ा खान और साथी

+91-8109613336

सौ बीस(120)रहमत नाज़िल फ़रमाता है,साठ तवाफ़ करने वालों के लिए और चालीस नमाज़ पढ़ने वालों के लिए और बीस (कअ्बा शरीफ़ की तरफ़)नज़र करने वालों के लिए।

हदीस न.10 :– इब्ने माजा अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया रुक्ने यमानी पर सत्तर हज़ार फ़रिश्ते मुवक्किल हैं जो यह दुआ़ पढ़े :-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ. رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ.

वह फ़रिश्ते आमीन कहते हैं और जो सात फेरे तवाफ़ करे और यह दुआ़ पढ़ता रहे:

سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

उसके दस गुनाह मिटा दिये जायेंगे और दस नेकियाँ लिखी जायेंगी और दस दर्जे बलन्द किये जायेंगे और जिसने तवाफ़ में यही कलाम (दुआ़)पढ़े वह रहमत में अपने पाँव से चल रहा है जैसे कोई पानी में पाँव से चलता है।

हदीस न.11:– तिर्मिज़ी में इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया पचास मरतबा तवाफ़ किया गुनाहों से ऐसा निकल गया जैसे आज अपनी माँ से पैदा हुआ।

हदीस न.12 :– तिर्मिज़ी व नसई व दारिमी उन्हीं से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया बैतुल्लाह के गिर्द तवाफ़ नमाज़ की मिस्ल है फ़र्क़ यह है कि तुम उसमें कलाम (बातचीत)करते हो तो जो कलाम करे ख़ैर के सिवा हरगिज़ कोई बात न कहे।

हदीस न.13 :– इमाम अहमद व तिर्मिज़ी उन्हीं से रावी कि रसूलुल्लाह सल्ललाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं हजरे असवद जब जन्नत से नाज़िल हुआ दूध से ज़्यादा सफ़ेद था बनी आदम(इन्सान)की ख़ताओं (गुनाहों) ने उसे सियाह (काला) कर दिया।

हदीस न.14 :– तिर्मिज़ी इब्ने उमर रदियल्लललाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी, कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि हजरे असवद व मक़ामे इब्राहीम जन्नत के याकूत हैं अल्लाह ने उनके नूर को मिटा दिया और अगर न मिटाता तो जो कुछ मश्रिक़ व मग़रिब (पूरब व पच्छिम) के दरमियान है सब को रौशन कर देते।

हदीस न.15 :– तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व दारमी इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्ललाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया वल्लाह (खुदा की क़सम) हजरे असवद को क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला इस तरह उठायेगा कि उसकी आँखें होंगी जिनसे देखेगा और ज़बान होगी जिससे कलाम करेगा। जिसने हक़ के साथ उसे बोसा दिया है उसके लिए शहादत (गवाही) देगा।

अहकाम का बयान

मस्जिदे हराम शरीफ़ में दाख़िल होने तक के अहकाम मअ़लूम हो चुके अब कि मस्जिदे हराम शरीफ़ में दाख़िल हुआ अगर जमाअ़त क़ाइम हो या नमाज़े फ़र्ज़ या वित्र या नमाज़े जनाज़ा या सुन्नते मुअक्कदा के फ़ौत का ख़ौफ़ हो तो पहले उनको अदा करे वरना सब कामों से पहले तवाफ़ में मशगूल हो। कअ्बा शमअ् है और तू परवाना। देखता नहीं कि परवाना शमअ् के गिर्द किस तरह

क़ुर्बान होता है तू भी उस शमअ़ पर क़ुर्बान होने के लिए मुस्तइद हो जा यअ़नी तैयार व होशियार होकर तवाफ़ करने के लिए जल्दबाज़ी दिखा। पहले इस मक़ामे करीम का नक़्शा देखिए कि जो बात कही जाये अच्छी तरह ज़हन में आ जाये।

पश्चिम
बाबुस्सफ़ा
मस्जिदे हराम
मुसल्लए मालिकी
मुसल्लए हम्बली
मताफ़
रुक्ने यमानी
मुस्तजार
रुक्ने शामी
काबए मुअ़ज़्ज़मा
मीज़ाबे रहमत
मुसल्लए हनफ़ी
दक्खिन
उत्तर
मुस्तजाब
ज़मज़म शरीफ़
संगे असवद
दरवाज़ए करम
सफ़ा
क़िब्लए ज़मज़म
रुक्ने असवद
मुलतज़म
रुक्ने इराक़ी
क़ुब्बए मक़ामे इब्राहीम
मुसल्लए शाफ़िई
बाबुस्सलाम
मीले अव्वल
मसआ
मीले दोम
मरवा
पूरब

नोट :– मुसल्ले अब सऊदी हुकूमत ने कम कर दिये हैं। अब इमाम ख़ानए कअ़बा के दरवाज़े के क़रीब होता है।

तम्बीह :– बद अ़क़ीदा इमाम के पीछे नमाज़ जिस तरह अपने वतन में नहीं पढ़ते हैं वहाँ भी न पढ़ें।

मस्जिदे हराम :– एक गोल वसीअ़ (लम्बा–चौड़ा)इहाता है जिसके किनारे–किनारे बहुत से दालान और आने–जाने के दरवाज़े हैं और बीच में मताफ़(तवाफ़ करने की जगह) है।

मताफ़ :– एक गोल दाइरा है जिसमें संगमरमर बिछा है बीच में कअ़बए मुअ़ज़्ज़मा है हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के ज़माने मुबारका में मस्जिदे हराम इसी क़द्र थी। उसी की हद पर बाबुस्सलाम पूरब वाला पुराना दरवाज़ा वाक़ेअ़ है।

रुक्न :– मकान का गोशा जहाँ उसकी दो दीवारें मिलती हैं जिसे ज़ाविया कहते हैं इस तरह **अ. ब. स.** एक ज़ाविया है इसमें **ब. अ.** और **ब. स.** दोनों दीवारें **ब.** पर मिलती हैं यह रुक्न कोना है इस तरह कअ़बए मुअ़ज़्ज़मा के चार कोने हैं, इनको रुक्न कहते हैं।

अ
ब
स

रुक्ने असवद :– दक्खिन और पूरब के गोशा (कोने)में है, इसी में ज़मीन से ऊँचा संगे असवद नसब है यअ़नी लगा हुआ है।

रुक्ने इराक़ी :– पूरब और उत्तर के गोशा में है।

रुक्ने इराक़ी :– पूरब और उत्तर के गोशा में है।

दरवाज़ए कअ़बा :– इन्ही दो रूक्नों के बीच की पूर्बी दीवार में ज़मीन से बहुत बुलन्द है

मुलतज़म :– इसी पूरबी दीवार का वह टुकड़ा जो रुक्ने असवद से दरवाज़ए कअ़बा तक है।

रुक्ने शामी :– उत्तर और पच्छिम के गोशा में।

मीज़ाबे रहमत :– सोने का परनाला कि रुक्ने इराक़ी व रुक्ने शामी की बीच की उत्तरी दीवार में छत में नसब है।

हतीम :– यह भी इसी उत्तरी दीवार की तरफ़ है यह ज़मीन कअ़बए मुअ़ज़्ज़मा ही की थी। ज़मानए जाहिलियत में जब कुरैश ने कअ़बा नये सिरें से तअ़मीर किया ख़र्च में कमी के सबब इतनी ज़मीन कअ़बए मुअ़ज़्ज़मा से बाहर छोड़ दी, इसके आसपास एक क़ौसी अन्दाज़ की छोटी सी दीवार खींच दी और आने जाने का रास्ता है। और यह मुसलमानों की ख़ुशनसीबी है उस में दाख़िल होना कअ़बए मुअ़ज़्ज़मा ही में दाख़िल होना है जो बिहम्दिल्लाहि तआ़ला बिला रुकावट नसीब होता है।

नोट :– दक्खिन और उत्तर छः हाथ कअ़बा की ज़मीन है और बाज़ कहते हैं सात हाथ और बाज़ का ख़्याल है कि पूरा हतीम कअ़बा है।

रुक्ने यमानी :– पच्छिम और दक्खिन के गोशा में है। **मुस्तजार** :– रुक्ने यमानी और रुक्ने शामी के बीच की पच्छिमी दीवार का वह टुकड़ा जो मुलतज़म के मुक़ाबिल(सामने)है।

मुस्तजाब :– रुक्ने यमानी और रुक्ने असवद के बीच में जो दक्खिनी दीवार है यहाँ सत्तर हज़ार फ़रिश्ते दुआ पर आमीन कहने के लिए मुक़र्रर हैं इसलिए इसका नाम मुस्तजाब रखा गया।

मक़ामे इब्राहीम :– कअ़बा के दरवाज़ा के सामने एक कुब्बा (छोटे से गुम्बद) में वह पत्थर है जिस पर खड़े होकर सय्यिदना इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम ने कअ़बा बनाया था उनके क़दमे पाक का उस पर निशान हो गया जो अब तक मौजूद है और जिसे अल्लाह तआ़ला ने اٰیٰتٌ بَیِّنٰتٌ(अल्लाह की खुली निशानियाँ) फ़रमाया।

नोट :– हमारे नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के क़दमे अक़दस के निशान में बेक़दरे और बे आदब लोग बकवास करते हैं यह हज़रते इब्राहीम का मोअ़जिज़ा जो हज़ारों बरस से महफ़ूज़ है वह इस से भी इन्कार कर दें।

ज़मज़म शरीफ़ :– ज़मज़म शरीफ़ का कुब्बा मक़ामे इब्राहीम से दक्खिन की तरफ़ मस्जिदे हराम शरीफ़ ही में वाक़ेअ़ और उस कुब्बा के अन्दर ज़मज़म शरीफ़ का कुआँ है। अब पम्प के ज़रिए पानी खींचा जाता हैं। कुएँ के क़रीब बहुत से नल लगे हैं हाजी लोग इससे ज़मज़म शरीफ़ पीते हैं।

बाबुस्सफ़ा :– मस्जिदे हराम शरीफ़ के दक्खिनी दरवाज़ों में एक दरवाज़ा है जिससे निकल कर सामने सफ़ा पहाड़ है। सफ़ा कअ़बए मुअ़ज्ज़मा से दक्खिन को है यहाँ पुराने ज़माने में एक पहाड़ी थी कि अब ज़मीन में छुप,गई है। अब वहाँ क़िब्ला–रुख़ एक दालान–सा बना है और चढ़ने की सीढ़ियाँ बनी हैं सई यअ़नी दौड़ करने वालों के लिए दो तरफ़ा बराबर रास्ते हैं।

मरवा :– दूसरी पहाड़ी थी यह भी ज़मीन में छुप गई है। यहाँ भी अब क़िब्ला रुख दालान सा है और सीढ़ियाँ बनी हैं। इस वक़्त मामूली पहाड़ी का निशान है। सफ़ा से मरवा तक जो फ़ासिला है अब यहाँ बाजार है सफ़ा से चलते हुए दाहिने हाथ को दुकानें और बायें हाथ को। हरम शरीफ़ है सई करने की जगह में दूसरी मन्ज़िल पर भी सई का इन्तिज़ाम है।

मीलैन अख़ज़रैन :— सफ़ा से मरवा की तरफ़ चलने के बाद कुछ दूरी पर दो हरी टयूब लाइटें लगी हैं और उन दोनों खम्बों का रंग भी सब्ज़ (हरा)है। मीलैने अख़ज़रैन का मतलब"दो सब्ज़ निशान "है
मसअ्ला :— वह फ़ासिला कि उन दो मीलों के दरमियान में है यह सब सूरतें रिसाला में बार–बार देख कर खूब याद कर लें कि वहाँ पहुँच कर पूछने की हाजत न हो, नावाक़िफ़ आदमी अन्धे की तरह काम करता है और जो समझ लिया वह अँखियारा है। अब अपने रब तआ़ला का नामे पाक लेकर तवाफ़ कीजिए।

तवाफ़ का तरीक़ा और दुआएँ

(1) जब हजरे असवद के क़रीब पहुँचे तो यह दुआ पढ़े :—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ صَدَقَ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

तर्जमा :—" अल्लाह के सिवा कोई मअ्बूद नहीं वह तन्हा है उसका कोई शरीक नहीं उसने अपना वअ्दा सच्चा किया और अपने बन्दे की मदद की और तन्हा उसी ने कुफ़्फ़ार(काफ़िरों)की जमाअ़तों को शिकस्त दी अल्लाह के सिवा कोई मअ्बूद नहीं वह तन्हा है उसका कोई शरीक नहीं उसी के लिए मुल्क है और उसी के लिए हम्द है और वह हर शय पर क़ादिर है"।

(2) शुरूअ् तवाफ़ से पहले मर्द इज़्तिबाअ् कर लें यअ्नी चादर को दहनी बग़ल के नीचे से निकाले कि दहना मोंढा खुला रहे और दोनों किनारे बायें मोंढे पर डाल दे।

(3) अब कअ्बा की तरफ़ मुँह करके हजरे असवद की दहनी तरफ़ रुक्ने यमानी की जानिब संगे असवद के क़रीब यूँ खड़ा हो कि तमाम पत्थर अपने दहने हाथ को रहे फिर तवाफ़ की नीयत करे।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ .

तर्जमा :— "ऐ अल्लाह! मैं तेरे इज़्ज़त वाले घर को तवाफ़ करना चाहता हूँ इसको तू मेरे लिए आसान कर और इसको मुझसे कबूल कर"। (4) इस नीयत के बअ्द कअ्बा को मुँह किये अपनी दहनी जानिब चलो जब संगे असवद के मुक़ाबिल(सामाने)हो (और यह बात थोड़ा सा बदन हिलाने से हासिल हो जायेगी)कानों तक हाथ इस तरह उठाओ कि हथेलियाँ हजरे असवद की तरफ़ रहें और कहो:

بِسْمِ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ. وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ.

और नीयत के वक़्त हाथ न उठाओ जैसे बअ्ज़ मुतव्विफ़ (तवाफ कने वाले)करते हैं कि यह बिदअत है। (5) मयस्सर हो सके तो हजरे असवद पर दोनों हथेलियाँ और उनके बीच में मुँह रख कर यूँ बोसा दो कि आवाज़ न पैदा हो तीन बार ऐसा ही करो यह नसीब हो तो कमाले सआ़दत है यक़ीनन हमारे तुम्हारे महबूब व मौला मुहम्मदुर्रसूलुल्ला सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने बोसा दिया और चेहरए अनवर उस पर रखा क्या ही खुशनसीबी कि तुम्हारा मुँह वहाँ तक पहुँचे और भीड़माड़ की वजह से न हो सके तो न औरों को तकलीफ़ दो न आप दबो–कुचलो बल्कि इसके बदले हाथ से छू कर उसे चूम लो और हाथ न पहुँचे तो लकड़ी से हजरे असवद को छू कर लकड़ी को चूम लो और यह भी न हो सके तो हाथों से उसकी तरफ़ इशारा करके हाथों को बोसा दे लो। हमारे सरदार मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के मुबारक मुँह रखने की जगह पर निगाहें पड़ रही हैं यही क्या कम है और हजरे असवद को बोसा देने या हाथ या

लकड़ी से छू कर चूम लेने से इशारा करके हाथों को बोसा देने को इस्तिलाम कहते हैं।

इस्तिलाम के वक़्त यह दुआ पढ़े :

اَللّٰھُمَّ اغۡفِرۡلِیۡ ذُنُوۡبِیۡ وَ طَھِّرۡلِیۡ قَلۡبِیۡ وَاشۡرَحۡ لِیۡ صَدۡرِیۡ وَ یَسِّرۡلِیۡ اَمۡرِیۡ وَ عَافِنِیۡ فِیۡمَنۡ عَافَیۡتَ۔

तर्जमा :– "इलाही तू मेरे गुनाह बख़्श दे और मेरे दिल को पाक कर और मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम को आसान कर और मुझे आफ़ियत दे उन लोगों में जिनको तूने आफ़ियत दी"।

हदीस में है रोज़े क़ियामत यह पत्थर उठाया जायेगा इस की आँखें होंगी जिनसे देखेगा ज़बान होगी जिससे बात करेगा जिसने हक़ के साथ इस का बोसा दिया और इस्तिलाम किया उसके लिए गवही देगा।

اَللّٰھُمَّ اِیۡمَانًا بِکَ وَ تَصۡدِیۡقًا بِکِتَابِکَ وَ وَفَاءً بِعَھۡدِکَ وَ اِتِّبَاعًا لِّسُنَّۃِ نَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَ سَلَّمَ ۔اَشۡھَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبۡدُہٗ وَ رَسُوۡلُہٗ ۔اٰمَنۡتُ بِاللّٰہِ وَ کَفَرۡتُ بِالۡجِبۡتِ وَ الطَّاغُوۡتِ۔

(6) **तर्जमा** :– " ऐ अल्लाह! तुझ पर ईमान लाते हुए और तेरी किताब की तस्दीक़ करते हुए और तेरे अ़हद को पूरा करते हुए और तेरे नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हुए मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो अकेला है उसका कोई शरीक नहीं और गवाही देता हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम उसके बन्दे और रसूल हैं अल्लाह पर ईमान लाया और बुत और शैतान से मैंने इन्कार किया"।

कहते हुए कअ़बा के दरवाज़ा की तरफ़ बढ़ो जब हजरे असवद के सामने से गुज़र जाओ,सीधे हो लो।ख़ानए कअ़बा को अपने बायें हाथ पर लेकर यूँ चलो कि किसी को ईज़ा (तकलीफ़)न दो।

(7)**पहले** तीन फेरों में मर्द 'रमल'करता हुआ चले यअ़नी जल्द–जल्द छोटे क़दम रखता शाने (कन्धे)हिलाता जैसे क़वी बहादुर लोग चलते हैं न कूदता न दौड़ता जहाँ ज़्यादा हुजूम (भीड़) हो जाये और रमल में अपनी या दूसरे की ईज़ा हो तो उतनी देर रमल तर्क करे मगर रमल की ख़ातिर रुके नहीं बल्कि तवाफ़ में मशग़ूल रहे फिर जब मौक़ा मिल जाये तो जितनी देर तक के लिए मौक़ा मिले उतनी देर तक के लिए रमल के साथ तवाफ़ करे।

(8)**तवाफ़** में जिस क़द्र ख़ानए कअ़बा से नज़दीक हो बेहतर है मगर न इतना कि पुश्तए दीवार (कअ़बा शरीफ़ की मुंडेर) पर जिस्म लगे या कपड़ा लगे और नज़दीकी में ज़्यादा भीड़ की वजह से रमल न हो सके तो दूरी बेहतर है।

(9) जब मुलतज़म के सामने आये यह दुआ पढ़े :–

اَللّٰھُمَّ ھٰذَا الۡبَیۡتُ بَیۡتُکَ وَ الۡحَرَمُ حَرَمُکَ وَالۡاَمۡنُ اَمۡنُکَ وَ ھٰذَا مَقَامُ الۡعَائِذِبِکَ مِنَ النَّارِ ۔فَاَجِرۡنِیۡ مِنَ النَّارِ ۔اَللّٰھُمَّ قَنِّعۡنِیۡ بِمَا رَزَقۡتَنِیۡ وَ بَارِکۡ لِیۡ فِیۡہِ وَ اخۡلُفۡ عَلٰی کُلِّ غَائِبَۃٍ م بِخَیۡرٍ ۔لَآ اِلٰہَ اِلَّااللّٰہُ وَحۡدَہٗ لَا شَرِیۡکَ لَہٗ لَہُ الۡمُلۡکُ وَ لَہُ الۡحَمۡدُ وَ ھُوَ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرٌ۔

तर्जमा :" ऐ अल्लाह ! यह घर तेरा घर है और हरम तेरा हरम है और अमन तेरी ही अमन है और जहन्नम से तेरी पनाह माँगने वाले की यह जगह है तू मुझको जहन्नम से पनाह दे। ऐ अल्लाह ! जो तूने मुझको दिया मुझे उस पर क़ानेअ़ (क़नाअ़त करने वाला)कर दे और मेरे लिए उसमें बरकत दे और हर ग़ाइब पर ख़ैर के साथ तू ख़लीफ़ा हो जा। अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं जो

अकेला है उसका कोई शरीक नहीं उसी के लिए मुल्क है उसी के लिए ह़म्द है और वह हर शय पर क़ादिर है।

और जब रुक्ने इराक़ी के सामने आये तो यह दुआ पढ़े:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّكِّ وَ الشِّرْكِ وَ الشِّقَاقِ وَ النِّفَاقِ
وَ سُوْءِ الْاَخْلَاقِ وَ سُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِی الْمَالِ وَ الْاَهْلِ وَ الْوَلَدِ.

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह ! मैं तेरी पनाह माँगता हूँ शक और शिर्क और इख़्तिलाफ़ व निफ़ाक़ से और माल व अहल व औलाद में वापस होकर बुरी बात देखने से"।

और जब मीज़ाबे रहमत के सामने आये तो यह दुआ पढ़े:

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِیْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ یَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ وَ لَا بَاقِیَ اِلَّا وَجْهُكَ وَاسْقِنِیْ مِنْ حَوْضِ نَبِیِّكَ
مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ شَرْبَةً هَنِیْئَةً لَّا اَظْمَاُ بَعْدَهَا اَبَدًا.

तर्जमा :– " इलाही तू मुझको अपने अ़र्श के साये में रख जिस दिन तेरे साये के सिवा कोई साया नहीं और तेरी ज़ात के सिवा कोई बाक़ी नहीं और अपने नबी मुह़म्मद स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के हौज़ से मुझे खुशगवार पानी पिला कि उसके बाद कभी प्यास न लगे"।

और जब रुक्ने शामी के सामने आये यह दुआ पढ़े:–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّ سَعْیًا مَّشْكُوْرًا وَّ ذَنْبًا مَّغْفُوْرًا وَّ تِجَارَةً
لَّنْ تَبُوْرَ. یَا عَالِمَ مَا فِی الصُّدُوْرِ اَخْرِجْنِیْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ.

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह! तू ह़ज को मबरूर(मक़बूल)कर और सई मशकूर कर(यअ़्नी स़फ़ा व मरवा के दरमियान दौड़ने को कामयाब बना)और गुनाह को बख़्श दे और इसकी वह तिजारत कर दे जो हलाक(बर्बाद)न हो। ऐ सीनों की बातें जानने वाले मुझको तारीकियों से नूर की त़रफ़ निकाल"।

(10) जब रुकने यमानी के पास आओ तो उसे दोनों हाथ या दहने हाथ से तबर्रुकन छूओ न सिर्फ़ बायें से और चाहो तो उसे बोसा भी दो और न हो सके तो यहाँ लकड़ी से छूना या इशारा करके हाथ चूमना नहीं।

और यह दुआ पढ़ो:–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِیَةَ فِی الدِّیْنِ وَ الدُّنْیَا وَ الْاٰخِرَةِ.

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह! मैं तुझसे माफ़ी और आराम का सवाल करता हूँ दीन और दुनिया और आख़िरत में" और रुक्ने शामी या इराक़ी को बोसा देना या छूना कुछ नहीं।

(11) जब इससे बढ़ो तो यह, मुस्तजाब है जहाँ सत्तर हज़ार फ़रिश्ते दुआ पर आमीन कहेंगे वही जामेअ़ दुआ पढ़ो :– या

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ.

तर्जमा :– " ऐ रब हमारे हमको दुनिया में भलाई अ़ता कर और आख़िरत में भलाई अ़ता कर और हमको जहन्नम के अ़ज़ाब से बचा"।

या अपने और सब अहबाब व मुस्लिमीन और इस हकीर व ज़लील की नीयत से सिर्फ़ दुरूद शरीफ़ पढ़े कि यह काफ़ी व वाफ़ी है। दुआयें याद न हों तो वह इख़्तियार करे कि मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सच्चे वअ्दे से तमाम दुआओं से बेहतर व अफ़ज़ल है यअ्नी यहाँ तमाम मौक़ों में अपने लिए दुआ के बदले हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐसा करेगा तो अल्लाह तेरे सब काम बना देगा और तेरे गुनाह माफ़ फ़रमा देगा। (12) तवाफ़ में दुआ या दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए रुको नहीं बल्कि चलते में पढ़ो। (13)दुआ और दुरूद चिल्ला–चिल्ला कर न पढ़ो जैसे मुतव्विफ़ (तवाफ़ कराने वाले)पढ़ाया करते हैं बल्कि आहिस्ता पढ़ो इस क़द्र कि अपने कान तक आवाज़ आये (14)अब जो चारों तरफ़ घूम कर हजरे असवद के पास पहुँचा यह एक फेरा हुआ और इस वक़्त हजरे असवद को बोसा दे या वही तरीक़े बरते बल्कि हर फेरे के ख़त्म पर यह करे यूँहीं सात फेरे करे मगर बाक़ी फेरों में नीयत करना नहीं कि नीयत करना तो शुरूअ् में हो चुकी और रमल तो सिर्फ़ पहले तीन फेरों में है बाक़ी चार में आहिस्ता बग़ैर शाना (कन्धा)हिलाए मअ्मूली चाल चले। (15) जब सातों फेरे पूरे हो जायें आख़िर में फिर हजरे असवद को बोसा दे या वही तरीक़े हाथ या लकड़ी से बरते,इस तवाफ़ को **तवाफ़े आदाब** (तवाफ़े क़ुदुम) कहते हैं यअ्नी हाज़िरीए दरबार का मुजरा (दस्तूर के मुताबिक़ यअ्नी उनके लिए जो मीक़ात के बाहर से आये हैं मक्का वालों या मीक़ात के अन्दर रहने वालों के लिए यह तवाफ़ नहीं हाँ मक्का वाला मीक़ात से बाहर गया तो उसे भी तवाफ़े क़ुदूम मसनून है।

तवाफ़ के मसाइल

मसअ्ला :– तवाफ़ में तवाफ़ की नीयत फ़र्ज़ है बग़ैर नीयत तवाफ़ नहीं मगर यह शर्त नहीं कि किसी मुअ़य्यन तवाफ़ की नीयत करे बल्कि हर तवाफ़ मुतलक़ यअ्नी सिर्फ़ तवाफ़ की नीयत से अदा हो जाता है बल्कि जिस तवाफ़ को किसी वक़्त में मुअ़य्यन कर दिया गया है अगर उस वक़्त किसी दूसरे तवाफ़ की नीयत से किया तो यह दूसरा न होगा बल्कि वह होगा जो मुअ़य्यन है मसलन उमरा का एहराम बाँध कर बाहर से आया और तवाफ़ किया यह उमरा का तवाफ़ है अगर्चे नीयत में यह न हो। यूँहीं हज का एहराम बाँध कर बाहर वाला आया और तवाफ़ किया तो तवाफ़े क़ुदूम है या क़िरान का एहराम बाँध कर आया और तवाफ़ किये तो पहला उमरा का है दूसरा तवाफ़े क़ुदूम या दसवीं तारीख़ को तवाफ़ किया तो तवाफ़े ज़्यारत है अगर्चे इन सब में नीयत किसी और की हो।(मुनसक)

मसअ्ला :– यह तरीक़ा तवाफ़ का जो ज़िक्र हुआ अगर किसी ने इसके ख़िलाफ़ तवाफ़ किया मसलन बायीं तरफ़ से शुरूअ् किया कि कअ्बए मुअ़ज़्ज़मा तवाफ़ करने में सीधे हाथ को रहा या कअ्बए मुअ़ज़्ज़मा को मुँह या पीठ करके तिरछे–तिरछे तवाफ़ किया या हजरे असवद से शुरूअ् न किया तो जब तक मक्का मुअ़ज़्ज़मा में है इस तवाफ़ का इआदा करे (लौटाये) और अगर इआदा न किया और वहाँ से चला आया तो दम वाजिब है। यूँहीं हतीम के अन्दर से तवाफ़ करना नाजाइज़ है लिहाज़ा इसका भी इआदा करे, चाहिए तो यह कि पूरे ही तवाफ़ का इआदा करे और अगर सिर्फ़ हतीम का सात बार तवाफ़ कर लिया कि रुक्ने इराक़ी से रुक्ने शामी तक हतीम के बाहर–बाहर गया और वापस आया यूँहीं सात बार कर लिया तो भी काफ़ी है और इस सूरत में अफ़ज़ल यह है कि हतीम के बाहर–बाहर वापस आये और अन्दर से वापस हुआ जब भी जाइज़ है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– तवाफ़ सात फेरों पर ख़त्म हो गया अब अगर आठवाँ फेरा जान–बूझ कर क़स्दन शुरूअ़ कर दिया तो यह एक जदीद (नया)तवाफ़ शुरूअ़ हुआ इसे भी अब सात फेरे करके ख़त्म करे यूहीं अगर महज़ (सिर्फ़)वहम व वसवसा की बिना पर आठवाँ फेरा शुरूअ़ किया कि शायद अभी छः ही हुए हों जब भी उसे सात फेरे करके ख़त्म करे, हाँ अगर इस आठवें को सातवाँ गुमान किया बाद में मअ़लूम हुआ कि सात हो चुके हैं तो इसी पर ख़त्म कर दे सात पूरे करने की ज़रूरत नहीं। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअला :– तवाफ़ के फेरों में शक पड़ा कि कितने हुए तो अगर फ़र्ज़ या वाजिब है तो अब से सात फेरे करे और अगर किसी एक आ़दिल शख़्स ने बता दिया कि इतने फेरे हुए तो उस के क़ौल पर अ़मल कर लेना बेहतर है और दो आ़दिल ने बताया तो उनके क़हने पर ज़रूर अ़मल करे और तवाफ़ अगर फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है तो ग़ालिब गुमान पर अ़मल करे। (रद्दुलमुहतार)

मसअला :– कअ़बए मुअ़ज़्ज़मा का तवाफ़ मस्जिदे हराम शरीफ़ के अन्दर होगा अगर मस्जिद के बाहर से तवाफ़ किया,न हुआ। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– जो ऐसा बीमार है कि खुद तवाफ़ नहीं कर सकता और सो रहा है उसके हमराहियों ने तवाफ़ कराया अगर,सोने से पहले हुक्म दिया था तो सही है वरना नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– मरीज़ ने अपने साथियों से कहा मज़दूर लाकर मुझे तवाफ़ करा दों फिर सो गया अगर फ़ौरन मज़दूर लाकर तवाफ़ करादिया तो हो गया और अगर दूसरे काम में लग गये देर में मज़दूर लाये और सोते में तवाफ़ कराया तो न हुआ मगर मज़दूरी बहर हाल लाज़िम है (आलमगीरी)

मसअला :– मरीज़ को तवाफ़ कराया और अपने तवाफ़ की भी नीयत है तो दोनों के तवाफ़ हो गये अगर्चे दोनों के दो क़िस्म के तवाफ़ हों। (आलमगीरी)

मसअला :– तवाफ़ करते–करते नमाज़े जनाज़ा या नमाज़े फ़र्ज़ या नया वुज़ू करने के लिए चला गया तो वापस आकर उसी पहले तवाफ़ पर बिना करे यअ़नी जिस फेरे पर और जिस जगह से तवाफ़ छोड़ा है वहीं से फिर शुरू करे तवाफ़ पूरा हो जायेगा सिरे से शुरूअ़ करने की ज़रूरत नहीं और सिरे से किया जब भी हरज नहीं और इस सूरत में उस पहले को पूरा करना ज़रूरी नहीं और बिना की सूरत में जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरूअ़ करे हजरे असवद से शुरू करने की ज़रूरत नहीं। यह सब उस वक़्त है जबकि पहले चार फेरे से कम किये थे और चार फेरे या ज़्यादा किये थे तो बिना ही करे। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअला :– तवाफ़ कर रहा था कि जमाअ़त क़ाइम हुई और जानता है कि फेरा करेगा तो रकअ़त जाती रहेगी या जनाज़ा आ गया है इन्तिज़ार न होगा तो वहीं से छोड़ कर नमाज़ में शरीक हो जाये और बिला ज़रूरत छोड़ कर चला जाना मकरूह है मगर तवाफ़ बातिल (बेकार)न होगा यअ़नी आकर पूरा कर ले। (रद्दुलमुहतार)

मसअला :– मअ़ज़ूर तवाफ़ कर रहा है चार फ़ेरों के बअ़द वक़्ते नमाज़ जाता रहा तो अब उसे हुक्म है कि वुज़ू करके तवाफ़ करे क्यूंकि वक़्ते नमाज़ ख़ारिज होने से मअ़ज़ूर का वुज़ू जाता रहता है और बग़ैर वुज़ू तवाफ़ हराम है। अब वुज़ू करने के बाद जो बाक़ी है पूरा करे और चार फेरे से पहले वक़्त ख़त्म हो गया जब भी वुज़ू करके पूरा करे और इस सूरत में अफ़ज़ल यह है कि सिरे से करे(मुनसक)

मसअला :– रमल सिर्फ़ तीन पहले फेरों में सुन्नत है सातों में करना मकरूह है लिहाज़ा अगर पहले

में न किया तो दूसरे और तीसरे में करे और पहले तीन में न किया तो बाकी चार फेरों में न करे और अगर भीड़ की वजह से रमल का मौक़ा न मिले तो रमल की ख़ातिर न रुके बिला रमल तवाफ़ कर ले और जहाँ–जहाँ मौक़ा हाथ आये उतनी दूर रमल कर ले और अगर अभी शुरूअ़ नहीं किया है और जानता है कि भीड़ की वजह से रमल नहीं कर सकेगा और यह भी मअ़लूम है कि ठहरने से मौक़ा मिल जायेगा तो इन्तिज़ार करे। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– रमल उस तवाफ़ में सुन्नत है जिस के बअ़्द सई हो लिहाज़ा अगर तवाफ़े कुदूम (पहले वाले तवाफ़) के बअ़्द की सई तवाफ़े ज़्यारत तक मुअख़्ख़र करे यअ़्नी बअ़्द में करे तो तवाफ़े कुदूम में रमल नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– तवाफ़ के सातों फेरों में इज़्तिबाअ़ सुन्नत है और तवाफ़ के बअ़्द इज़्तिबाअ़ न करे यहाँ तक कि तवाफ़ के बअ़्द की नमाज़ में अगर इज़्तिबअ़ किया तो मकरूह है और इज़्तिबाअ़ सिर्फ़ उसी तवाफ़ में है जिस के बअ़्द सई हो और अगर तवाफ़ के बअ़्द सई न हो तो इज़्तिबाअ़ भी नहीं। (मुनसक)

मैंने बाज़ मुतव्विफ़(तवाफ़ कराने वालों)को देखा है कि हाजियों को एहराम के वक़्त से हिदायत करते हैं कि इज़्तिबाअ़ किये रहें यहाँ तक कि नमाज़ में भी इज़्तिबाअ़ किये हुए थे हालाँकि नमाज़ में मोंढ़ा खुला रहना मकरूह है।

इज़्तिबाअ़ :– चादर को दाहिनी बग़ल के नीचे से निकाल कर दोनों किनारों को बाएं मोंढे पर डालना और दाहिना मोंढा खुला रखना इसको इज़्तिबाअ़ कहते हैं।

मसअ्ल :– तवाफ़ की हालत में ख़ुसूसियत के साथ ऐसी बातों से परहेज़ रखें जिन्हें शरीअ़ते मुतह्हरा पसन्द नहीं करती मर्द औरतों की तरफ़ बुरी निगाह न करे किसी में अगर कुछ ऐब हो या वह ख़राब हालत में हो नज़रे हिक़ारत (ज़िल्लत की निगाह)से उसे न देखे बल्कि उसे भी नज़रे हिक़ारत से न देखे जो अपनी नादानी के सबब अरकान ठीक अदा नहीं करता बल्कि ऐसे को निहायत नरमी के साथ समझा दे।

नमाज़े तवाफ़

तवाफ़ के बअ़्द मक़ामे इब्राहीम में आकर وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى ط पढ़ कर दो रकअ़त नमाज़े तवाफ़ पढ़े और यह नमाज़ वाजिब है। पहली में सूरए काफ़िरून दूसरी में सूरए इख़्लास पढ़े बशर्ते कि मकरूह वक़्त मसलन सूरज की पहली किरन चमकने से बीस मिनट बअ़्द तक या दोपहर या नमाज़े अ़स्र के बअ़्द ग़ुरूब तक न हो वरना वक़्ते कराहत (मकरूह वक़्त)निकल जाने पर पढ़े। हदीस में है जो मक़ामे इब्राहीम के पीछे दो रकअ़तें पढ़े उसके अगले पिछले गुनाह बख़्श दिये जायेंगे और क़ियामत के दिन अमन वालों के साथ उसका हश्र होगा। यह रकअ़तें पढ़ कर दुआ माँगे यहाँ हदीस में एक दुआ इरशाद हुई जिसके फ़ायदों की अ़ज़मत उसका लिखना ही चाहती है।

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّیْ وَ عَلَانِيَتِیْ فَاقْبَلْ مَعْذِرَتِیْ وَتَعْلَمُ حَاجَتِیْ فَاَعْطِنِیْ سُؤَالِیْ وَ تَعْلَمُ مَا فِیْ نَفْسِیْ فَاغْفِرْلِیْ ذُنُوْبِیْ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا يُّبَاشِرُ قَلْبِیْ وَ يَقِيْنًا صَادِقًا حَتّٰی اَعْلَمَ اَنَّهٗ لَا يُصِيْبُنِیْ اِلَّا مَا كَتَبْتَ لِیْ وَ رِضًی مِّنَ الْمَعِيْشَةِ بِمَا قَسَمْتَ لِیْ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ.

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह! तू मेरे पोशीदा और ज़ाहिर को जानता है तू मेरी मअ्ज़िरत कबूल कर और तू मेरी हाजत को जानता है मेरा सवाल मुझको अ़ता कर और जो कुछ मेरे नफ़्स में है तू उसे जानता है तू मरे गुनाहों को बख़्श दे। ऐ अल्लाह! मैं तुझसे उस ईमान का सवाल करता हूँ जो मेरे कल्ब में सरायत कर जाये और यक़ीने सादिक़ माँगता हूँ ताकि मैं जान लूँ कि मुझे वही पहुँचेगा जो तूने मेरे लिए लिखा है और जो कुछ तूने मेरी किस्मत में किया है उस पर राज़ी रहूँ। ऐ सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान"!

हदीसे पाक में है अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है जो यह दुआ़ करेगा मैं उसकी ख़ता बख़्श दूँगा ग़म दूर करूँगा मोहताजी उससे निकाल लूँगा हर ताजिर से बढ़ कर उसकी तिजारत करूँगा दुनिया नाचार व मजबूर उसके पास आयेगी अगर्चे वह उसे न चाहे। इस मकाम पर बअ्ज़ और दुआ़यें ज़िक्र की गई हैं,

मसलनः–

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا بَلَدُكَ الْحَرَامُ وَ مَسْجِدُكَ الْحَرَامُ وَ بَيْتُكَ الْحَرَامُ وَ اَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ اَتَيْتُكَ بِذُنُوْبٍ كَثِيْرَةٍ وَّ خَطَايَا جَمَّةٍ وَ اَعْمَالٍ سَيِّئَةٍ وَّ هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِبِكَ مِنَ النَّارِ اَللّٰهُمَّ عَافِنَا وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۔

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह ! यह तेरा इज़्ज़त वाला शहर है और तेरी इज़्ज़त वाली मस्जिद है और तेरा इज़्ज़त वाला घर है और मैं तेरा बन्दा हूँ और तेरे बन्दे और तेरी बाँदी का बेटा हूँ बहुत से गुनाहों और बड़ी ख़ताओं और बुरे अअ्माल के साथ तेरे हुज़ूर हाज़िर हुआ हूँ और जहन्नम से तेरी पनाह माँगने वाले की यह जगह है। ऐ अल्लाह! तू हमें आफ़ियत दे और हम से माफ़ कर और हमको बख़्श दे बेशक तू बड़ा बख़्शने वाला मेहरबान है"।

मसअ्ला :– अगर भीड़ की वजह से मकामे इब्राहीम में नमाज़ न पढ़ सके तो मस्जिदे हराम शरीफ़ में किसी और जगह पढ़ ले और मस्जिदे हराम के अ़लावा कहीं और पढ़ी जब भी हो जायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मकामे इब्राहीम के बअ्द इस नमाज़ के लिए सबसे अफ़ज़ल कअ्बए मुअज़्ज़मा के अन्दर पढ़ना है फिर हतीम में मीज़ाबे रहमत के नीचे इसके बअ्द हतीम में किसी और जगह फिर कअ्बए मुअज़्ज़मा से क़रीब तर (ज़्यादा से ज़्यादा क़रीब)जगह में फिर मस्जिदे हराम में किसी जगह फिर हरमे मक्का के अन्दर जहाँ भी हो। (लुबाब)

मसअ्ला :– सुन्नत यह है कि वक़्ते कराहत न हो तो तवाफ़ के बअ्द फ़ौरन नमाज़ पढ़े बीच में फ़ासिला न हो और अगर न पढ़ी तो उम्र भर में जब पढ़ेगा अदा ही है क़ज़ा नहीं मगर बुरा किया कि सुन्नत फ़ौत हुई। (मुनसक)

मसअ्ला :– फ़र्ज़ नमाज़ इन रकअ्तों के काइम मकाम नहीं हो सकती। (आलमगीरी)

मुलतज़म से लिपटना

नमाज़ व दुआ से फ़ारिग़ हो कर मुलतज़म के पास जाये और हजरे असवद के करीब उससे लिपटे और अपना सीना और पेट और कभी दहना रुख़सार (गाल) और कभी बायाँ रुख़सार और कभी सारा चेहरा उस पर रखे और दोनों हाथ सर से ऊँचे करके दीवार पर फैलाये या दाहिना हाथ कअ्बा के दरवाजा की तरफ़ और बायाँ हजरे असवद की तरफ़ फैलाये। **यहाँ की दुआ यह है।**

يَا وَاجِدُ يَا مَاجِدُ لَا تُزِلْ عَنِّي نِعْمَةً اَنْعَمْتَهَا عَلَيَّ

तर्जमा :–"ऐ कुदरत वाले! ऐ बुजुर्ग! तूने मुझे जो नेअ्मत दी उस को मुझ से ज़ाइल(ख़त्म)न कर"।

हदीस न. :– हदीस में फरमाया जब मैं चाहता हूँ जिब्रील को देखता हूँ कि मुलतज़म से लिपटे हुए यह दुआ कर रहे हैं। निहायत ख़ुजू व ख़ुशू व आजिज़ी व इन्किसारी के साथ दुआ करे और दुरूद शरीफ भी पढ़े और इस मकाम की एक दुआ यह भी है :–

اِلٰهِيْ وَ قَفْتُ بِبَابِكَ وَالْتَزَمْتُ بِاَعْتَابِكَ اَرْجُوْرَحْمَتَكَ وَ اَخْشٰى عِقَابَكَ. اَللّٰهُمَّ حَرِّمْ شَعْرِيْ وَجَسَدِيْ عَلَى النَّارِ . اَللّٰهُمَّ كَمَا صُنْتَ وَجْهِيْ عَنِ السُّجُوْدِ لِغَيْرِكَ فَصُنْ وَجْهِيْ عَنْ مَسْاَلَةِ غَيْرِكَ اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ. اَعْتِقْ رِقَابَنَا وَ رِقَابَ اٰبَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَا مِنَ النَّارِ .يَا كَرِيْمُ يَا غَفَّارُ يَا عَزِيْزُ يَا جَبَّارُ .رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ. اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ اَعْتِقْ رِقَابَنَا مِنَ النَّارِ وَ اَعِذْنَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ. وَاكْفِنَا كُلَّ سُوْءٍ وَّ قَنِّعْنَا بِمَا رَزَقْتَنَا وَ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا اَعْطَيْتَنَا .اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ اَكْرَمِ وَ فْدِكَ عَلَيْكَ .اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى نَعْمَائِكَ وَاَفْضَلُ صَلَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِ اَنْبِيَائِكَ وَ جَمِيْعِ رُسُلِكَ وَ اَصْفِيَائِكَ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ اَوْلِيَائِكَ اَجْمَعِيْنَ .

तर्जमा :–" इलाही मैं तेरे दरवाज़े पर खड़ा हूँ और तेरे आस्ताने से चिपटा हूँ तेरी रहमत का उम्मीदवार और तेरे अज़ाब से डरने वाला हूँ। ऐ अल्लाह! मेरे बाल और जिस्म को जहन्नम पर हराम कर दे। ऐ अल्लाह ! जिस तरह तूने मेरे चेहरे को अपने गैर के लिए सज्दा करने से महफूज़ रखा इसी तरह इससे महफूज़ रख कि तेरे गैर से सवाल करूँ। ऐ अल्लाह ! ऐ इस आज़ाद घर के मालिक ! तू हमारी गरदनों को और हमारे बाप और दादा और हमारी माओं की गरदनों को जहन्नम से आज़ाद कर दे । ऐ करीम ! ऐ बख़्शने वाले! ऐ गालिब! ऐ जब्बार! ऐ रब! तू हमसे कबूल कर बेशक तू सुनने वाला, जानने वाला है और हमारी तौबा कबूल कर बेशक तू तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। ऐ अल्लाह ! ऐ इस आज़ाद घर के मालिक ! हमारी गरदनों को जहन्नम से आज़ाद कर और शैतान मरदूद से हम को पनाह दे और हर बुराई से हमारी किफ़ायत कर और जो कुछ तूने दिया उस पर क़ानेअ् (क़नाअत करने वाला)कर और जो दिया उस में बरकत दे और अपने इज़्ज़त वाले वफ़्द (ख़ास जेमाअत) में हमको कर दे. इलाही तेरे ही लिए हम्द है तेरी नेअ्मतों पर और अफ़ज़ल दुरूद अम्बिया के सरदार पर और तेरे सब रसूलों और चुने हुए लोगों पर और उनकी आल व असहाब और तेरे तमाम औलिया पर नाज़िल हो।"

मसअला :– मुलतज़म के पास नमाज़े तवाफ़ के बअ्द आना उस तवाफ़ में है जिसके बअ्द सई है

और जिसके बाद सई न हो उसमें नमाज़ से पहले मुलतज़म से लिपटे फिर मकामे इब्राहीम के पास जाकर दो रकअ़त नमाज़ पढ़े। (मुनसक)

ज़मज़म की हाज़िरी

फिर ज़मज़म पर आओ हो सके तो खुद नल से पियो वरना ज़मज़म पिलाने वालों से ले लो और कअ़बा को मुँह करके तीन साँसों मे पेट भर कर जितना पिया जाये खड़े होकर पियो। हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ़ से शुरूअ़ करो और" अल्हदुलिल्लाह"पर ख़त्म करो और हर बार कअ़बए मुअ़ज़्ज़मा की तरफ़ निगाह उठा कर देख लो बाक़ी बदन पर डाल लो मुँह और सर और बदन उससे मसह करो और पीते वक़्त दुआ करो कि दुआ कबूल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं ज़मज़म जिस मुराद से पिया जाये उसी के लिए है।

इस वक़्त की दुआ यह है।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّ رِزْقًا وَّاسِعًا وَّ عَمَلًا مُّتَقَبَّلًا وَّ شِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह! मैं तुझ से इल्मे नाफ़ेअ़ और कुशादा रिज़्क और अ़मले मक़बूल और हर बीमारी से शिफ़ा का सवाल करता हूँ" या वही जामेअ़ दुआ पढ़ो और हाज़िरीए मक्कए मुअ़ज़्ज़मा तक तो बारहा पीना नसीब होगा कभी कियामत की प्यास से बचने को पियो, कभी अ़ज़ाबे क़ब्र से महफ़ूज़ी के लिए कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की महब्बत बढ़ने के लिए, कभी रिज़्क़ बढ़ने के लिए, कभी बीमारियों से शिफ़ा के लिए, कभी इल्म हासिल हो जाने के लिए और ईमान पर ख़ात्मा वग़ैरा ख़ास–ख़ास मुरादों के लिए पियो।

वहाँ जब भी पियो पेट भर कर पियो। हदीस में है हम में और मुनाफ़िक़ों में यह फ़र्क है वह ज़मज़म कोख भर कर नहीं पीते। ज़मज़म के कूँए में भी नज़र करो कि हदीसे पाक के हुक्म के मुताबिक़ निफ़ाक़ को दूर करने वाला है।

सफ़ा व मरवा की सई

अब अगर कोई उ़ज़्र थकान वग़ैरा का न हो तो अभी वरना आराम लेकर सफ़ा व मरवा में सई के लिए फिर हजरे असवद के पास आओ और उसी तरह तकबीर वग़ैरा कह कर चूमो और न हो सके तो उसकी तरफ़ मुँह कर के اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ और दुरूद पढ़ते हुए फ़ौरन बाबे सफ़ा से सफ़ा की तरफ़ रवाना हो। मस्जिदे हराम के दरवाज़े से बायाँ पाँव पहले निकाले और दहना पहले जूते में डालो और इस का हर मस्जिद से बाहर आते हुए हमेशा लिहाज़ रखो और वही दुआ पढ़ो जो मस्जिद से निकलते वक़्त पढ़ने के लिए बताई जा चुकी है।

मसअला :– बग़ैर उ़ज़्र इस वक़्त सई न करना मकरूह है क्यूँकि सुन्नत के ख़िलाफ़ है।

मसअला :– जब तवाफ़ के बअ़द सई करनी हो तो वापस आकर हजरे असवद का इस्तिलाम करके सई की जाये और सई न करनी हो तो इस्तिलाम की जरूरत नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– सई के लिए बाबे सफ़ा से जाना मुस्तहब है और यही आसान भी है और अगर किसी दूसरे दरवाज़े से जायेगा जब भी सई अदा हो जायेगी।

ज़िक्र व दुरूद में मशग़ूल रहते हुए सफ़ा की सीढ़ियों पर इतना चढ़ो कि कअ़बए मुअ़ज़्ज़मा नज़र आये और यह बात यहाँ पहली ही सीढ़ी पर चढ़ने से हासिल है यअ़नी अगर मकान और हरम

शरीफ़ की दीवारें दरमियान में न होतीं तो कअ़्बए मुअ़ज़्ज़मा यहाँ से नज़र आता इससे ऊपर चढ़ने की हाजत नहीं बल्कि मज़हबे अहलेसुन्नत व जमाअ़त के ख़िलाफ़ बदमज़हबों और नादानों का काम है कि बिल्कुल ऊपर की सीढ़ी तक चढ़ जाते हैं और सई शुरू करने से पहले यह दुआ़ पढ़ो।

اَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهٖ اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ.

तर्जमा :– "मैं उससे शुरूअ़ करता हूँ जिसका अल्लाह ने पहले ज़िक्र किया बेशक सफ़ा व मरवा अल्लाह की निशानियों से हैं जिस ने हज या उ़मरा किया उस पर उनके तवाफ़ में गुनाह नहीं और जो शख़्स नेक काम करे तो बेशक अल्लाह बदला देने वाला जानने वाला है"।

फिर कअ़्बए मुअ़ज़्ज़मा की तरफ़ मुँह करके दोनों हाथ मोंढ़ों तक दुआ़ की तरह फैले हुए उठाओ और इतनी देर तक ठहरो जितनी देर में मुफ़स्सल यअ़्नी सूरए हुजरात से सूरए नास तक की कोई सूरत या सूरए बक़रह की पच्चीस आयतों की तिलावत की जाये और तस्बीह व तहलील व तकबीर (यअ़्नी सुब्हानल्लाह, लाइला–ह इल्लल्लाह व अल्लाहु अकबर) व दुरूद पढ़ो और अपने लिए और अपने दोस्तों और दीगर मुसलमानों के लिए दुआ़ करो कि यहाँ भी दुआ़ मक़बूल होती है।

और यह पढ़ो :–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ. لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ. وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا هَدٰنَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا اَوْ لَا نَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا اَلْهَمَنَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰنَا لِهٰذَا وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ. لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَ هُوَ حَىٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ. وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ. لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ صَدَقَ وَعْدَهٗ وَ نَصَرَ عَبْدَهٗ وَ اَعَزَّ جُنْدَهٗ وَ هَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ لَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ. وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ عَشِيًّا وَّ حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَ يُحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ. اَللّٰهُمَّ كَمَا هَدَيْتَنِىْ لِلْاِسْلَامِ اَسْاَلُكَ اَنْ لَّا تَنْزِعَهٗ مِنِّىْ حَتّٰى تَوَفَّانِىْ وَ اَنَا مُسْلِمٌ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ. اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ عَلٰى سُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. وَ تَوَفَّنِىْ عَلٰى مِلَّتِهٖ وَ اَعِذْنِىْ مِنْ مُّضِلَّاتِ الْفِتَنِ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يُّحِبُّكَ وَ يُحِبُّ رَسُوْلَكَ وَ اَنْبِيَآئَكَ وَ مَلٰٓئِكَتَكَ وَ عِبَادَكَ الصّٰلِحِيْنَ. اَللّٰهُمَّ يَسِّرْلِىَ الْيُسْرٰى وَ جَنِّبْنِىَ الْعُسْرٰى. اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ عَلٰى سُنَّةِ رَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. وَ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِىْ بِالصَّالِحِيْنَ. وَاجْعَلْنِىْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ. وَاغْفِرْلِىْ خَطِيْئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ. اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ اِيْمَانًا كَامِلًا وَّ قَلْبًا خَاشِعًا وَّ نَسْاَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّ يَقِيْنًا صَادِقًا وَّ دِيْنًا قَيِّمًا وَّ نَسْاَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَّ نَسْاَلُكَ تَمَامَ الْعَافِيَةِ وَنَسْاَلُكَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ وَ نَسْاَلُكَ الشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ وَ نَسْاَلُكَ الْغِنٰى عَنِ النَّاسِ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ. وَ بَارِكْ

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ عَدَدَ خَلْقِكَ وَ رِضَا نَفْسِكَ وَ زِنَةَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُوْنَ. وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُوْنَ.

तर्जमा :– " हम्द है अल्लाह के लिए कि उसने हमको हिदायत की। हम्द है अल्लाह के लिए कि उसने हमको दिया। हम्द है अल्लाह के लिए कि उसने हमको इलहाम किया (अल्लाह तआ़ला की त़रफ़ से जो हक़ बात दिल में आये उसे इलहाम कहते हैं)हम्द है अल्लाह के लिए जिसने हमको इसकी हिदायत की और अगर अल्लाह हिदायत न करता तो हम हिदायत न पाते अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं जो अकेला है उसका कोई शरीक नहीं उसी के लिए मुल्क है और उसी के लिए हम्द है वही ज़िन्दा करता है और मारता है और वह खुद ज़िन्दा है और मरता नहीं उसके हाथ में ख़ैर है और वह हर शय पर क़ादिर है अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं जो अकेला है उसने अपना वअ़दा सच्चा किया अपने बन्दों की मदद की और अपने लश्कर को ग़ालिब किया और काफ़िरों की जमाअ़तों को तन्हा (अकेले) उसने शिकस्त दी। अल्ला के सिवा कोई मअ़बूद नहीं हम उसी की इबादत करते हैं उसी के लिए दीन को ख़ालिस करते हुए अगर्चे काफ़िर बुरा मानें अल्लाह की पाकी है शाम व सुबह और उसी के लिए हम्द है आसमानों और ज़मीन में और तीसरे पहर को और ज़ोहर के वक़्त। वह ज़िन्दा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दे को ज़िन्दे से निकालता है और ज़मीन को उसके मरने के बअ़द ज़िन्दा करता है और इसी त़रह तुम निकाले जाओगे। इलाही तूने जिस त़रह मुझे इस्लाम की त़रफ़ हिदायत की तुझसे सवाल करता हूँ कि उसे मुझसे जुदा न करना यहाँ तक कि मुझे इस्लाम पर मौत दे। अल्लाह के लिए पाकी है और अल्लाह के लिए हम्द है और अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं और अल्लाह बहुत बड़ा है और गुनाह से फिरना और नेकी की त़ाक़त नहीं मगर अल्लाह की मदद से जो बरतर व बुज़ुर्गतर है। इलाही तू मुझको नबी स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत पर ज़िन्दा रख और उनकी मिल्लत (दीन)पर वफ़ात दे और फ़ितना की गुमराहियों से बचा। इलाही तू मुझको उन लोगों में कर जो तुझ से महब्बत रखते हैं और तेरे रसूल व अम्बिया व मलाइका और नेक बन्दों से महब्बत रखते हैं। इलाही मेरे लिए आसानी मयस्सर कर और मुझे सख़्ती से बचा। इलाही अपने रसूल मुहम्मद स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत पर मुझको ज़िन्दा रख–और मुसलमान मार, और नेकों के साथ मिला और जन्नतुन्नईम का वारिस कर और क़ियामत के दिन मेरी ख़ता बख़्श दे। इलाही तुझ से ईमाने कामिल और ख़शीयत (गिड़गिड़ाने)वाले क़ल्ब का हम सवाल करते हैं और हम तुझसे नफ़ा देने वाले इल्म और सच्चे यक़ीन और सीधे, रास्ते का सवाल करते हैं और हर बला से अ़फ़्व व आ़फ़ियत का सवाल करते हैं और पूरी आ़फ़ियत और आ़फ़ियत की हमेश्गी और आ़फ़ियात पर शुक्र का सवाल करते हैं और आदमियों से बेनियाज़ी का सवाल करते हैं। इलाही तू दुरूद व सलाम व बरकत नाज़िल कर हमारे सरदार मुहम्मद स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम और उनकी आल व असहाब पर तेरी मख़लूक़ के शुमार की मिक़दार और तेरी रज़ा और तेरे अ़र्श के बराबर और तेरे कलिमात की ज़्यादती के मिक़दार- जब तक ज़िक्र करने वाले तेरा ज़िक्र करते रहें और जब तक ग़ाफ़िल तेरे ज़िक्र से ग़ाफ़िल रहें"।

दुआ में हथेलियाँ आसमान की त़रफ़ हों न उस त़रह जैसा बाज़ जाहिल हथेलियाँ कअ़बा मुअ़ज़्ज़मा की त़रफ़ करते हैं और अक्सर मुतव्विफ़(तवाफ करने वाले)हाथ कानों तक उठाते हैं फिर

छोड़ देते हैं यूहीं तीन बार करते हैं यह भी ग़लत तरीक़ा है बल्कि एक बार दुआ के लिए हाथ उठायें और जब तक दुआ माँगे उठाये रहे जब ख़त्म हो जाये हाथ छोड़ दें फिर सई की नीयत करें उसकी नीयत यूँ है :–

اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اُرِیْدُ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَۃِ فَیَسِّرْہُ لِیْ وَ تَقَبَّلْہُ مِنِّیْ

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह! बेशक मैं नियत करता हूँ सफ़ा और मरवा के दरमियान सई का तो तू उसको आसान कर और उसको मेरी तरफ़ से कबूल फ़रमा"।

(23)फिर सफ़ा से उतर कर मरवा को चले, ज़िक्र व दुरूद बराबर जारी रखे जब पहला सब्ज़ निशान आये और यह सफ़ा से थोड़े ही फ़ासिले पर है कि बायें हाथ को सब्ज़ रंग का निशान मस्जिद शरीफ़ की दीवार से मुत्तसिल (मिला हुआ) है यहाँ से दौड़ना शुरूअ् करें (मगर न हद से ज़्यादा न किसी को तकलीफ़ देते हुए) यहाँ तक कि दूसरे सब्ज़ निशान से निकल जायें।

यहाँ की दुआ यह है :–

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَ تَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ .وَ تَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُ اِنَّکَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَکْرَمُ ط اَللّٰھُمَّ اجْعَلْہُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّ سَعْیًا مَّشْکُوْرًا وَّ ذَنْبًا مَّغْفُوْرًا. اَللّٰھُمَّ اغْفِرْلِیْ وَ لِوَالِدَیَّ وَ لِلْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ .یَا مُجِیْبَ الدَّعْوَاتِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ. وَتُبْ عَلَیْنَا اِنَّکَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ.رَبَّنَا اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَۃً وَّ فِی الْاٰخِرَۃِ حَسَنَۃً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ .

तर्जमा :– " ऐ परवर्दिगार! बख़्श और रहम कर और दरगुज़र कर उससे जिसे तू जानता है और तू उसे भी जानता है जिसे हम नहीं जानते बेशक तू इज़्ज़त व करम वाला है। ऐ अल्लाह! तू उसे हज्जे मबरूर (मक़बूल हज) कर और सई मशकूर कर (सफ़ा और मरवा के दरमियान मेरी सई कामयाब कर)) और गुनाह बख़्श। ऐ अल्लाह! मुझको और मेरे वालिदैन और तमाम मोमिनीन व मोमिनात को बख़्श दे। ऐ दुआओं के क़बूल करने वाले! ऐ रब हमसे तू क़बूल कर बेशक तू सुनने वाला, जानने वाला है और हमारी तौबा क़बूल कर बेशक तू तौबा क़बूल करने वाला मेहरबान है। ऐ रब! तू हमको दुनिया में भलाई दे और आख़िरत में भलाई दे और हम को अज़ाबे जहन्नम से बचा"

(24)दूसरे मील से निकल कर आहिस्ता हो लो और यह दुआ बार बार पढ़ते हुए।

لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ لَہُ الْمُلْکُ وَلَہُ الْحَمْدُ یُحْیِیْ وَ یُمِیْتُ وَ ھُوَ حَیٌّ لَّا یَمُوْتُ بِیَدِہِ الْخَیْرِ .وَ ھُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ .

तर्जमा :–" नहीं कोई मअ्बूद मगर अल्लाह! वह अकेला है उसका कोई शरीक नहीं उसी का मुल्क है और उसी के लिए हम्द है वह जिलाता और मारता है और वह ज़िन्दा है कभी नहीं मरेगा उसके दस्ते कुदरत में सारी भलाईयाँ हैं और वह हर शय पर क़ादिर है"मरवा तक पहुँचो वहाँ पहली सीढ़ी पर चढ़ने बल्कि उसके क़रीब ज़मीन पर खड़े होने से मरवा पर चढ़ना हो गया लिहाज़ा बिल्कुल दीवार से मुत्तसिल न हो जाये यअ्नी मिल न जाये कि यह नादानों का तरीक़ा है। यहाँ भी अगर्चे इमारतें बन जाने से कअ्बा नज़र नहीं आता मगर कअ्बा की तरफ़ मुँह कर के जैसा सफ़ा पर किया था तस्बीह व तकबीर व हम्द व सना व दुरूद व दुआ यहाँ भी करो,यह एक फेरा हुआ।

(25)फिर यहाँ से सफ़ा को ज़िक्र व दुरूद और दुआयें पढ़ते हुए जाओ जब सब्ज़ निशान के पास पहुँचो उसी तरह दौड़ो और दोनों निशानियों से गुज़र कर आहिस्ता हो लो फिर आओ फिर जाओ यहाँ तक कि सातवाँ फेरा मरवा पर ख़त्म हो और हर फेरे में उसी तरह करो उस का नाम सई है। दोनों मीलों (हरे निशानों) के दरमियान अगर दौड़ कर न चला या सफ़ा से मरवा तक दौड़ कर गया तो यह बुरा किया कि सुन्नत तर्क हुई मगर दम या सदक़ा वाजिब नहीं और सई में इज़्तिबाअ् नहीं अगर हुजूम (भीड़) की वजह से दोनों निशानियें के दरमियान दौड़ने से आजिज़ (मजबूर) है तो कुछ ठहर जाये कि भीड़ कम हो जाये और दौड़ने का मौक़ा मिल जाये और अगर कुछ ठहरने से हुजूम कम न होगा तो दौड़ने वालों की तरह चले और अगर उज़्र की वजह से सवारी पर सवार होकर सई करता है तो इस दरमियान में सवारी को तेज़ चलाये मगर इसका ख़्याल रहे कि किसी को ईज़ा न हो कि यह हराम है।

मसअ्ला :– अगर मरवा से सई शुरूअ् की तो पहला फेरा कि मरवा से सफ़ा को हुआ शुमार न किया जायेगा अब कि सफ़ा से मरवा को जायेगा यह पहला फेरा हुआ। (दुर्रे मुख़्तार ,आलमगीरी)

मसअ्ला :– जो शख़्स एहराम से पहले बेहोश हो गया है और उसके साथियों ने उसकी तरफ़ से एहराम बाँधा है तो उसकी तरफ़ से साथी नियाबतन यअ्नी उसकी तरफ़ से सई कर सकते हैं।(मुन्सक)

मसअ्ला :– सई के लिए यह शर्त है कि पूरे तवाफ़ के अकसर हिस्से मसलन चार–पाँच फेरों के बाद हो लिहाज़ा अगर तवाफ़ से पहले या तवाफ़ के तीन फेरे के बअ्द सई की तो न हुई और सई के क़ब्ल एहराम होना भी शर्त है ख़्वाह हज का एहराम हो या उमरा का। एहराम से क़ब्ल सई नहीं हो सकती और हज की सई अगर वुकूफ़े अरफ़ा से पहले करे तो सई के वक़्त में भी एहराम होना शर्त है और वुकूफ़े अरफ़ा के बअ्द सई हो तो सुन्नत यह है कि एहराम खोल चुका हो और उमरा की सई में एहराम वाजिब है यअ्नी अगर तवाफ़ के बअ्द सर मुंडा लिया फिर सई की तो सई हो गई मगर चुँकि वाजिब तर्क हुआ लिहाज़ा दम वाजिब है। (लुबाब)

मसअ्ला :– सई के लिए तहारत शर्त नहीं हैज़ वाली औरत जुनुब भी सई कर सकता है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– सई में पैदल चलना वाजिब है जब कि उज़्र न हो लिहाज़ा अगर सवारी और डोली वग़ैरा पर सई को या पाँव से न चला बल्कि घिसटता हुआ गया तो हालते उज़्र में मुआफ़ है और बिग़ैर उज़्र ऐसा किया तो दम वाजिब (लुबाब)

मसअ्ला :– सई में सत्रे औरत सुन्नत है यअ्नी अगर्चे सत्र का छुपाना फ़र्ज़ है मगर इस हालत में फ़र्ज़ के अलावा सुन्नत भी है कि अगर सत्र खुला रहा तो उसकी वजह से कफ़्फ़ारा वाजिब नहीं मगर एक गुनाह फ़र्ज़ के तर्क का हुआ दूसरा सुन्नत के तर्क का। (मुन्सक)

एक ज़रूरी नसीहत :– बाज़ औरतों को मैंने खुद देखा है कि निहायत बेबाकी से सई करती हैं कि उनकी कलाईयाँ और गला खुला रहता है और यह ख़्याल नहीं कि मक्कए मुअज़्ज़मा में मअ्सियत (गुनाह)करना निहायत सख़्त बात है कि यहाँ जिस तरह एक नेकी लाख के बराबर है यूहीं एक गुनाह लाख के बराबर बल्कि यहाँ कअ्बए मुअज़्ज़मा के सामने भी यह जाहिल औरतें इसी हालत से रहती हैं बल्कि इसी हालत में तवाफ़ करते देखा हालाँकि तवाफ़ में सत्र का छुपाना उस हमेशा फ़र्ज़ होने के अलावा वाजिब भी है तो एक फ़र्ज़ दूसरे वाजिब के तर्क से दो गुनाह किये वह भी कहाँ बैतुल्लाह के सामने और ख़ास तवाफ़ की हालत में बल्कि बाज़ बे हया औरतें तवाफ़ करने में

खुसूसन हजरे असवद को बोसा देने में मर्दों में घुस जाती हैं उनका बदन मर्दों के बदन से मस होता रहता है मगर उनको इसकी कुछ परवाह नहीं हालाँकि तवाफ़ या बोसए हजरे असवद वग़ैरहुमा सवाब के लिए किया जाता है मगर वह बे–ग़ैरत औरतें सवाब के बदले गुनाह मोल लेती हैं लिहाज़ा इन बातों की तरफ़ हाजियों को खुसूसियत के साथ तवज्जोह करनी चाहिए और उनके साथ जो औरतें हों सख़्ती के साथ ऐसी हरकतों से मना करना चाहिए वरना खुद मर्द भी गुनाहगार होंगे।

मसअ्ला :– मुस्तहब यह है कि बा–वुजू सई करे और कपड़ा भी पाक हो और बदन भी हर क़िस्म की नजासत (नापाकी)से पाक हो और सई शुरू करते वक़्त नियत कर ले।

मसअ्ला :– मकरूह वक़्त न हो तो सई के बाद दो रकअ़त नमाज़ मस्जिदे हराम शरीफ़ में पढ़ना बेहतर है (दुर्रे मुख़्तार) इमाम अहमद व इब्ने माजा व इब्ने हब्बान मुत्तलिब इब्ने वदाआ़ से रावी,कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लुलल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम को देखा कि जब सई से फ़ारिग़ हुए तो हजरे असवद के सामने तशरीफ़ लाकर मताफ़ के किनारे पर दो रकअ़त नमाज़ पढ़ी।

मसअ्ला :– सई के सातों फेरे पय दर पय (एक के बाद एक)करे अगर मुतफ़र्रिक(अलग–अलग) तौर पर किये तो इआ़दा(दोबारा अदा) करे और अब सात फेरे करे कि पय दर पय न होने से सुन्नत तर्क हो गई, हाँ अगर सई करने में जमाअ़त क़ाइम हुई या जनाज़ा आया तो सई छोड़ कर नमाज़ में मशग़ूल हो फिर नमाज़ के बअ़द जहाँ से सई छोड़ी थी वहीं से पूरी कर ले। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– सई की हालत में फुज़ूल और बेकार बातें सख़्त नामुनासिब हैं कि यह तो वैसे भी न चाहिए न कि सई के वक़्त कि इबादत में मशग़ूल हो और फ़ुज़ूल बातें करे। खूब जान लो कि उ़मरा सिर्फ़ इन्हीं कामों यअ्नी तवाफ़ और सई का नाम है क़िरान व तमत्तोअ़ वाले के लिए यही उ़मरा हो गया और इफ़राद वाले के लिए यह तवाफ़ तवाफ़े कुदूम यअ्नी हाज़िरीए दरबार का मुजरा (सलामी)है।

मसअ्ला :– हज करने वाला मक्का में जाने से पहले अरफ़ात में पहुँचा तो **तवाफ़े कुदूम** साक़ित (ख़त्म) हो गया मगर बुरा किया कि सुन्नत फ़ौत हुई और दम वग़ैरा वाजिब नहीं। (जौहरा, रद्दुल मुहतार)

क़ारिन यअ्नी जिस ने क़िरान किया है इसके बअ्द तवाफ़े कुदूम की नीयत से एक तवाफ़ व सई और करे।

(27) **क़ारिन** व **मुफ़रिद** यअ्नी जिस ने सिर्फ़ हज का एहराम बाँधा था लब्बैक कहते हुए मक्का में ठहरे उनकी लब्बैक दसवीं तारीख़ रमीए जमरा के वक़्त ख़त्म होगी। और उसी वक़्त एहराम से निकलेंगे जिसका ज़िक्र इन्शाअल्लाह तआ़ला आता है मगर मुतमत्तेअ़ यअ्नी जिस ने तमत्तोअ़ किया है वह और मुअ्तमिर यअ्नी निरा उ़मरा करने वाला कअ्बए मुअ़ज़्ज़मा के शुरूअ़ तवाफ़ से संगे असवद शरीफ़ का पहला बोसा लेते ही लब्बैक छोड़ दे।

सर मुंडाना या बाल कतरवाना

ज़िक्र किये गये तवाफ़ व सई के बअ्द 'हल्क़' करें यअ्नी सारा सर मुंडा दें या 'तक़सीर' यअ्नी बाल कतरवाये और एहराम से बाहर आयें। औरतों को बाल मुंडाना हराम है वह सिर्फ़ उंगली के एक पोरे बराबर बाल अपने शौहर या किसी सुन्नी औरत से कतरवायें और खुद ही काट लें तो और अच्छा है और मर्दो को इख़्तियार है कि हल्क़ करें या तक़सीर और बेहतर हल्क़ है कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने 'हज्जतुल वदाअ़' में हल्क़ कराया और सर मुंडाने

वालों के लिए दुआए रहमत तीन बार फ़रमाई और कतरवाने वालों के लिए एक बार और अगर मुतमत्तेअ् मिना की क़ुर्बानी के लिए जानवर साथ ले गया है तो उमरा के बाद एहराम खोलना उसे जाइज़ नहीं बल्कि क़ारिन की तरह एहराम में रहे और लब्बैक कहा करे यहाँ तक कि दसवीं की रमी के साथ लब्बैक छोड़े फिर क़ुर्बानी के बाद हल्क़ या तक़सीर करके एहराम से बाहर हो फिर मुतमत्तेअ् चाहे तो आठवीं ज़िलहिज्जा तक बे एहराम रहे मगर अफ़ज़ल यह है कि एहराम की क़ैदें न निभेंगी।

तम्बीह :– तवाफ़े क़ुदूम में इज़्तिबाअ् व रमल और इसके बाद सफ़ा व मरवा में सई ज़रूरी नहीं मगर अब न करेगा तो तवाफ़े ज़्यारत में कि हज का तवाफ़ फ़र्ज़ है जिसका ज़िक्र इन्शाअल्लाह तआला आता है यह सब काम करने होंगे और उस वक़्त हुजूम बहुत होता है अजब नहीं कि तवाफ़ में रमल और मसआ(सई करने की जगह) में दौड़ना न हो सके और इस वक़्त हो चुका तो उस तवाफ़ में इन चीज़ों की हाजत न होगी लिहाज़ा हमने उनको मुतलक़न तरकीब में दाख़िल कर दिया। मुफ़रिद व क़ारिन तो हज के रमल व सई से तवाफ़े क़ुदूम में फ़ारिग़ हो लिये मगर मुतमत्तेअ् ने जो तवाफ़ व सई किये वह उमरा के थे, हज के रमल व सई उस से अदा न हुए और उस पर तवाफ़े क़ुदूम है नहीं कि क़ारिन की तरह उसमें ये उमूर (काम)कर के फ़ारिग़ हो जाये लिहाज़ा अगर वह भी पहले से फ़ारिग़ हो लेना चाहे तो जब हज का एहराम बाँधे उसके बअ्द एक नफ़्ल तवाफ़ में रमल व सई कर ले अब उसे भी तवाफ़े ज़्यारत में इन उमूर की हाजत न होगी।

अय्यामे इक़ामत के अअ्माल

अब ये सब हाजी(क़ारिन, मुतमत्तेअ् मुफ़रिद कोई हो) मिना के जाने के लिए मक्कए मुअज़्ज़मा में आठवीं तारीख़ का इन्तिज़ार कर रहे हैं। अय्यामे इक़ामत (मक्का मुअज़्ज़मा में ठहरने के दिनों)में जिस क़द्र हो सके इज़्तिबाअ् व रमल व सई के बग़ैर सिर्फ़ तवाफ़ करते रहें कि बाहर वालों के लिए यह सब से बेहतर इबादत है और हर सात फेरों पर मक़ामे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तसलीम में दो रकअ्त नमाज़ पढ़ें। ज़्यादा एहतियात यह है कि औरतों को तवाफ़ के लिए शब के दस–ग्यारह बजे जब हुजूम कम हो ले जायें यूहीं सफ़ा व मरवा के दरमियान सई के लिए भी।

औरतें नमाज़ अपने ठहरने की जगह ही में पढ़ें, नमाज़ों के लिए जो दोनों मस्जिदे करीम में हाज़िर होती हैं, नादानी है कि मक़सूद सवाब है और ख़ुद हुज़ूरे अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि औरत को मेरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से ज़्यादा सवाब घर में पढ़ना है, हाँ औरतें मक्कए मुअज़्ज़मा में रोज़ाना एक बार रात में तवाफ़ कर लिया करें और मदीना तय्यिबा में सुबह व शाम सलात व सलाम के लिए हाज़िर होती रहें।

अब या मिना से वापसी के बअ्द जब कभी रात दिन में जितनी बार कअ्बए मुअज़्ज़मा पर नज़र पड़े **"लाइला – ह–इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर"** तीन बार कहें और नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें और दुआ करें कि क़बूल होने का वक़्त है।

तवाफ़ में यह बातें हराम है

तवाफ़ अगर्चे नफ़्ल हो उसमें ये बातें हराम हैं–(1)बे–वुज़ू तवाफ़ करना। (2)कोई उज़्व (अंग) जो सत्र में दाख़िल है उसका चौथाई हिस्सा खुला होना मसलन रान या औरत का कान या कलाई वग़ैरा। (3)बग़ैर मजबूरी के सवारी या किसी की गोद में या कन्धों पर तवाफ़ करना। (4) बिला उज़्र बैठ कर सरकना या घुटनों के बल चलना। (5) कअ्बा को दाहिने हाथ पर लेकर उल्टा तवाफ़

करना। (6) तवाफ़ में हतीम के अन्दर होकर गुज़रना। (7)सात फेरों से कम करना

तवाफ़ में यह पन्द्रह बातें मकरूह हैं

(1)फुज़ूल बात करना (2) बेचना (3) ख़रीदना(4) हम्द व नात व मनक़बत के सिवा कोई शेअ्र पढ़ना (5)ज़िक या दुआ या तिलावत या कोई कलाम बुलन्द आवाज़ से करना (6)नापाक कपड़े में तवाफ़ करना(7)रमल(8)या इज़्तिबाअ् (9) या संगे असवद का बोसा जहाँ–जहाँ इनका हुक्म है तर्क करना (10) तवाफ़ के फेरों में ज़्यादा फ़स्ल देना यअ्नी कुछ फेरे कर लिये फिर देर तक ठहर गये या और किसी काम में लग गये बाक़ी फ़ेरे बाद को किये मगर वुज़ू जाता रहे तो कर आये या जमाअ़त क़ाइम हुई और इसने अभी नमाज़ न पढ़ी तो शरीक हो जाये बल्कि जनाज़े की नमाज़ में भी तवाफ़ छोड़ कर मिल सकता है बाक़ी जहाँ से छोड़ा था आकर पूरा कर ले यूहीं पेशाब पाख़ाने की ज़रूरत हो तो चला जाये वुज़ू करके बाक़ी पूरा करे एक तवाफ़ के बअ्द जब तक उसकी रकअ्तें न पढ़ ले दूसरा तवाफ़ शुरूअ् कर देना मगर जब कि नमाज़ की कराहत का वक़्त हो जैसे सुबहे सादिक़ से बलन्दीए आफ़ताब तक या नमाज़े अ़स्र पढ़ने के बअ्द से ग़ुरूबे आफ़ताब तक कि उसमें मुतअ़द्दिद तवाफ़ बग़ैर नमाज़ के जाइज़ हैं वक़्ते कराहत निकल जाये तो हर तवाफ़ के बअ्द बग़ैर नमाज़ पढ़े दूसरा तवाफ़ शुरूअ् कर लिया है तो अगर अभी एक फेरा पूरा न किया हो तो छोड़ कर नमाज़ पढ़े और एक फेरा पूरा कर लिया है तो इस तवाफ़ को पूरा करके दोनों के बदले अलग–अलग दो–दो रकअ्त नमाज़ पढ़े। (12)इमाम के ख़ुतबा देते वक़्त तवाफ़ करना। (13)फ़र्ज़ नमाज़ की जमाअ़त के वक़्त करना हाँ अगर ख़ुद पहली जमाअ़त में पढ़ चुका है तो बाक़ी जमाअ़तों के वक़्त तवाफ़ करने में हरज नहीं, और नमाज़ियों के सामने गुज़र भी सकता है कि तवाफ़ है कि तवाफ़ भी नमाज़ ही की मिस्ल है।(14) तवाफ़ में कुछ खाना (15) पेशाब, पाख़ाना या रीह (गैस) के तक़ाज़े में तवाफ़ करना

यह बातें तवाफ़ व सई दोनों में जाइज़ है।

(1)सलाम करना (2)जवाब देना (3)हाजत के लिए कलाम करना (4) फ़तवा पूछना(5)फ़तवा देना(6)पानी पीना(7)हम्द व नात व मनक़बत के अशआर आहिस्ता पढ़ना और सई में खाना भी खा सकता है।

सई में ये बातें मकरूह है।

(1)बे–हाजत इसके फेरों में ज़्यादा फ़ासिला देना मगर जमाअ़त क़ाइम हो तो चला जाये यूहीं जनाज़ा की शिरकत या पेशाब–पाख़ाना या ताज़ा वुज़ू को जाना, अगर्चे सई में वुज़ू ज़रूरी नहीं।(2) ख़रीद (3)व फ़रोख़्त (4)फ़ुज़ूल कलाम(5)सफ़ा(6)या मरवा पर न चढ़ना(7)मर्द का मसआ में बिला उज़्र न दौड़ना(8)तवाफ़ के बअ्द बहुत ताख़ीर (देर)करके सई करना(9)सत्रे औरत न होना(10) परेशान–नज़री यानी इधर–उधर फ़ुज़ूल देखना सई में भी मकरूह है और तवाफ़ में और ज़्यादा मकरूह।

तवाफ़ व सई के मसाइल में मर्द व औरत के फ़र्क़

(38)तवाफ़ व सई के सब मसाइल में औरतें भी शरीक हैं मगर 1.इज़्तिबाअ ,2. रमल, 3.मसआ में दौड़ना यह तीनों बातें औरतों के लिए नहीं। 4. मुज़ाहमत एक–दूसरे पर गिरने और धक्का देने के साथ संगे असवद का बोसा या 5. रुक्ने यमानी को छूना या 6. कअ्बा से क़रीब होना या 7.ज़मज़म

के अन्दर नज़र करना या 8. खुद पानी भरने की कोशिश करना यह बातें अगर यूँ हो सकें कि नामहरम से बदन न छूए तो खैर वरना अलग थलग रहना औरतों के लिए सब से बेहतर है।

मिना की रवानगी और अरफ़ा का वुकूफ़

अल्लाह तआला फरमाता है :–

ثُمَّ اَفِيْضُوا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٥

तर्जमा :– "फिर तुम भी वहाँ से लौटो जहाँ से और लोग वापस हुए(यअ्नी अरफात से) और अल्लाह से मग़फिरत माँगो बेशक अल्लाह बख़्शने वाला रहम फरमाने वाला है"।

हदीस न.1 :– सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम में उम्मुलमोमिनीन सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी कि कुरैश और जो लोग उनके तरीक़े पर थे मुज़दलेफ़ा में वुकूफ़ करते (ठहरते)और तमाम अरब अरफात में वुकूफ़ करते जब इस्लाम आया अल्लाह तआला ने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया कि अरफात में जाकर वुकूफ़ करें फिर वहाँ से वापस हों।

हदीस न.2 :– सहीह मुस्लिम शरीफ में जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से हज्जतुल वदअ् शरीफ की हदीस मरवी उसी में है कि यौमे तरविया(आठवीं ज़िलहिज्जा)को लोग मिना को रवाना हुए और हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मिना में जुहर व अस्र व मग़रिब व इशा व फज्र की नमाज़े पढ़ीं फिर थोड़ा तवक्कुफ किया यअ्नी थोड़ी देर ठहरे रहे यहाँ तक कि आफताब तुलूअ् हुआ और हुक्म फरमाया कि नमरा (अरफात में एक जगह का नाम)में एक कुब्बा(गुम्बद की तरह छोटा घर)नसब किया जाये उसके बअ्द हुजूर यहाँ से रवाना हुए और कुरैश का यह गुमान था कि मुज़दलेफ़ा में वुकूफ़ फरमायेंगे जैसा कि जाहिलियत में कुरैश किया करते थे मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुज़दलेफ़ा से आगे चले गये यहाँ तक कि अरफ़ा में पहुँचे, यहाँ नमरा में कुब्बा नसब हो चुका था उसमें तशरीफ फरमा हुए यहाँ तक कि जब आफताब ढल गया सवारी तैयार की गई फिर बतने वादी में तशरीफ लाये और खुतबा पढ़ा फिर बिलाल रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अज़ान व इकामत कही फिर हुजूर ने नमाज़े ज़ुहर पढ़ी फिर इकामत हुई और अस्र की नमाज़ पढ़ी और दोनों नमाज़ों के दरमियान कुछ न पढ़ा फिर मौकफ (ठहरने की जगह) में तशरीफ लाये और वुकुफ किया (ठहरे) यहाँ तक कि आफताब गुरूब हो गया

हदीस न.3.:– सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्ला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैंने यहाँ वुकूफ़ किया और पूरा अरफात जाए वुकूफ़ (ठहरने की जगह) है और मैंने इस जगह वुकूफ़ किया और पूरा मुज़दलेफ़ा वुकूफ़ की जगह है।

हदीस न.4 :– मुस्लिम व नसई व इब्ने माजा व रज़ीन उम्मुलमोमिनीन सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरफ़ा से ज़्यादा किसी दिन में अल्लाह तआला अपने बन्दों को जहन्नम से आज़ाद नहीं करता फिर उनके साथ मलाइका पर फख़्र फरमाता है।

हदीस न. 5 :–तिर्मिज़ी में ब–रिवायते अम्र इब्ने शुऐब अन अबीहि अन जद्दिहि मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरफ़ा की सबसे बेहतर दुआ और वह जो मैंने और मुझसे कब्ल अम्बिया ने की यह है :–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

हदीस न.6 :– इमाम मालिक तलहा इब्ने उबैदुल्लाह से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अरफ़ा के दिन से ज़्यादा किसी दिन में शैतान को ज़्यादा सग़ीर(छोटा)व ज़लील व हक़ीर और ग़ैज़(ग़ुस्सा) में भरा हुआ नहीं देखा गया और उसकी वजह यह है कि इस दिन में रहमत का नुज़ूल और अल्लाह का बन्दों के बड़े–बड़े गुनाह मुआफ़ फ़रमाना शैतान देखता है।

हदीस न.7 :– इब्ने माजा व बैहक़ी अब्बास इब्ने मिरदास रदियल्लल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अरफ़ा की शाम को अपनी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ माँगी और वह दुआ मक़बूल हुई, फ़रमाया मैंने उन्हें बख़्श दिया सिवा हुक़ूक़ूल इबाद के कि मज़लूम के लिए ज़ालिम से मुवाख़ज़ा (पकड़) करूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया ऐ रब अगर तू चाहे तो मज़लूम को जन्नत अता कर दे और ज़ालिम की मग़फ़िरत फ़रमा दे उस दिन यह दुआ मक़बूल न हुई। फिर मुज़दलफ़ा में सुबह के वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस दुआ का इआदा किया(यअ्नी दोबारा यही दुआ की)और उस वक़्त यह दुआ मक़बूल हुई। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फ़रमाया सिद्दीक़ व फ़ारूक़ रदियल्लल्लाहु तआला अन्हुमा ने अर्ज़ की हमारे माँ बाप हुज़ूर पर क़ुर्बान इस वक़्त तबस्सुम फ़रमाने का क्या सबब है?इरशाद फ़रमाया कि दुश्मने ख़ुदा इब्लीस को जब यह मअ्लूम हुआ कि अल्लाह तआला ने मेरी दुआ क़बूल की और मेरी उम्मत की बख़्शिश फ़रमाई तो अपने सर पर ख़ाक उड़ाने लगा और वावैला(अफ़सोस)करने लगा, उसकी यह घबराहट देख कर मुझे हँसी आई।

हदीस न.8 :– अबू यअ्ला व बज़्ज़ार व इब्ने ख़ुज़ैमा व इब्ने हब्बान जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ज़िलहिज्जा के दस दिनों से कोई दिन अल्लाह के नज़्दीक अफ़ज़ल नहीं। एक शख़्स ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह! यह अफ़ज़ल हैं या इतने दिनों में अल्लाह की राह में जिहाद करना इरशाद फ़रमाया अल्लाह की राह में इस तअ्दाद में जिहाद करने से भी यह अफ़ज़ल है और अल्लाह के नज़्दीक अरफ़ा से ज़्यादा कोई दिन अफ़ज़ल नहीं। अरफ़ा के दिन अल्लाह तआला आसमाने दुनिया की तरफ़ ख़ास तजल्ली फ़रमाता है और ज़मीन वालों के साथ आसमान वालों पर मुबाहात (फ़ख़्र) करता है उनसे फ़रमाता है मेरे बन्दों को देखो कि परागन्दा सर, गर्द आलूदा, धूप खाते हुए दूर दूर से मेरी रहमत के उम्मीदवार हाज़िर हुए तो अरफ़ा से ज़्यादा जहन्नम से आज़ाद होने वाले किसी दिन में देखे न गये और बैहक़ी की रिवायत में यह भी है कि अल्लाह तआला मलाइका से फ़रमाता है मैं तुमको गवाह करता हूँ कि मैंने उन्हें बख़्श दिया। फ़रिश्ते कहते हैं इनमें फ़ुलाँ व फ़ुलाँ हराम काम करने वाले हैं अल्लाह तआला फ़रमाता है मैंने सबको बख़्श दिया।

हदीस न.9 :– इमाम अहमद व तबरानी अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि एक शख़्स ने अरफ़ा के दिन औरतों की तरफ़ नज़र की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया आज वह दिन है कि जो शख़्स कान और आँख और ज़बान को क़ाबू में रखे उसकी मग़फ़िरत हो जायेगी।

हदीस न.10 :– बैहक़ी जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी है कि रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो मुसलमान अरफ़ा के दिन पिछले पहर को मौक़फ़ में वुक़ूफ़ करे फिर सौ बार कहे :

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِیْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِیْ وَ
یُمِیْتُ وَ هُوَ حَیٌّ لَّا یَمُوْتُ بِیَدِهِ الْخَیْرِ .وَ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ .

और सौ बार सूरए इख़्लास पढ़े और फिर सौ बार यह दुरूद पढ़े :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ وَ
عَلٰی اٰلِ اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ وَ عَلَیْنَا مَعَهُمْ.

अल्लाह तआला फ़रमाता है, ऐ मेरे फ़रिश्तों ! मेरे इस बन्दे को क्या सवाब दिया जाये जिसने मेरी तस्बीह व तहलील की और तकबीर व तअ्ज़ीम की मुझे पहचाना और मेरी सना की और मेरे नबी पर दुरूद भेजा, ऐ मेरे फ़रिश्तो! गवाह रहो कि मैंने इसे बख़्श दिया और इसकी शफ़ाअत ख़ुद इसके हक़ मे कबूल की और अगर यह मेरा बन्दा मुझसे सवाल करे तो इसकी शफ़ाअत जो यहाँ हैं सबके हक़ में कबूल करूँ।

हदीस न.11 : – बैहक़ी अबू सुलैमान दारानी से रावी कि अमीरुल मोमिनीन मौला अ़ली कर्रमल्लाहु तआला वजहहुल करीम से वुक़ूफ़ के बारे में सवाल हुआ कि उस पहाड़ में क्यों मुक़र्रर हुआ हरम शरीफ़ में क्यों न हुआ फ़रमाया कअ्बा बैतुल्लाह(अल्लाह का घर) है और हरम उसका दरवाज़ा तो जब लोग उस की ज़्यारत के इरादे से आये दरवाज़े पर खड़े किये गये कि गिरिया व ज़ारी करें । अ़र्ज़ की, ऐ अमीरुल मोमिनीन ! फिर मुज़दलफ़ा के वुक़ूफ़ का क्या सबब है फ़रमाया कि जब उन्हें आने की इजाज़त मिली तो अब उस दूसरी ड्योढ़ी पर रोके गये फिर जब गिरिया व ज़ारी ज़्यादा हुआ तो हुक्म हुआ कि मिना में कुर्बानी करें फिर जब अपने मैल कुचैल उतार चुके और कुर्बानियाँ कर चुके और गुनाहों से पाक हो चुके तो अब तहारत (पाकी के साथ)ज़्यारत की उन्हें इजाज़त मिली। अ़र्ज़ की गई ऐ अमीरुल मोमिनीन! अय्यामे तशरीक़ (कुर्बानी के दिनों)में रोज़े क्यूँ हराम हैं फ़रमाया कि वह लोग अल्लाह के ज़व्वार(ज़्यारत करने वाले)व मेहमान हें और मेहमान को बग़ैर मेज़बान की इजाज़त के रोज़ा रखना जाइज़ नहीं। अ़र्ज़ की गई ऐ अमीरुल मोमिनीन! ग़िलाफ़े कअ्बा से लिपटना किस लिए है फ़रमाया उसकी मिसाल यह है कि किसी ने दूसरे का गुनाह किया है वह उसके कपड़ों से लिपटता और आजिज़ी करता है कि यह उसे बख़्श दे जब **वुक़ूफ़** के सवाब से आगाह हुए तो अब गुनाहों से पाक व साफ़ होने का वक़्त क़रीब आया उसके लिए तैयार हो जाओ और हिदायत पर अ़मल करो।

(1)**सातवीं तारीख़** :– मस्जिदे हराम शरीफ़ में ज़ुहर के बाद इमाम ख़ुतबा पढ़ेगा उसे सुनो उस ख़ुतबा में मिना जाने और अरफ़ात में नमाज़ और वुक़ूफ़ और वहाँ से वापस होने के मसाइल बयान किये जायेंगे। (2)यौमे तरविया में कि **आठवीं तारीख़** का नाम है जिसने एहराम न बाँधा हो बाँध ले और एक नफ़्ल तवाफ़ में रमल व सई कर ले जैसा कि ऊपर गुज़रा और एहराम के मुतअल्लिक़ जो आदाब पेश्तर बयान किये गये मसलन गुस्ल करना ख़ुश्बू लगाना उनका यहाँ भी लिहाज़ रखे और नहा धोकर मस्जिदे हराम शरीफ़ में आये और तवाफ़ करे उसके बअ्द तवाफ़ की नमाज़ ब–दस्तूर अदा करे फिर दो रकअ्त सुन्नत एहराम की नीयत से पढ़े उसके बअ्द हज की नीयत करे और

लब्बैक कहे। (3) जब आफ़ताब निकल आये मिना को चलो अगर आफ़ताब निकलने के पहले ही चला गया जब भी जाइज़ है मगर बअ्द में बेहतर है और ज़वाल के बाद भी जा सकता है मगर जुहर की नमाज़ मिना में पढ़े और हो सके तो प्यादा (पैदल)जाओ कि जब तक मक्कए मुअज़्ज़मा पलट कर आओगे हर कदम पर सात करोड़ नेकियाँ लिखी जायेंगी यह नेकियाँ तख़मीनन (अन्दाज़े के मुताबिक) अट्ठहत्तर खरब चालीस अरब आती हैं और अल्लाह का फ़ज़्ल इस नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के सदके में इस उम्मत पर बेशुमार है।

(4)रास्ते भर लब्बैक व दुआ व दुरूद व सना की कसरत करो (ज़्यादा पढ़ो)।

(5) जब मिना नज़र आये यह दुआ पढ़ो :

اَللّٰهُمَّ هٰذِیْ مِنًی فَامْنُنْ عَلَیَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهٖ عَلٰی اَوْلِیَآئِکَ.

तर्जमा :— इलाही यह मिना है मुझ पर तू वह एहसान कर जो अपने औलिया पर तूने किया"

(6) यहाँ रात को ठहरो आज जुहर से नवीं की सुबह तक की पाँचों नमाज़ें यहीं मस्जिदे ख़ैफ़ में पढ़ो आज कल बाज़ तवाफ़ करने वालों ने यह निकाली है कि आठवीं को मिना में नहीं ठहरते सीधे अ़रफ़ात पहुँचते हैं उनकी न मानें और इस सुन्नते अ़ज़ीमा को हरगिज़ न छोड़ो काफ़िले के इसरार से उनको भी मजबूर होना पड़ेगा।

(7) अ़रफ़ा की रात मिना में ज़िक्र व इबादत से जाग कर सुबह करो। सोने के बहुत दिन पड़े हैं और न हो सके तो कम से कम इशा व फ़ज्र पहली जमाअ़त से पढ़ो कि शब बेदारी (रात भर जाग कर इबादत करने) का सवाब मिलेगा और बा–वुज़ू सोओ कि रूह अ़र्श तक बलन्द होगी अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से बैहकी व तबरानी वग़ैरहुमा ने रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स अ़रफ़ा की रात में यह दुआयें हज़ार मरतबा पढ़े तो जो कुछ अल्लाह तआ़ला से माँगेगा पायेगा जबकि गुनाह या कतए रहम (रिश्ता तोड़ने)का सवाल न करे:—

سُبْحٰنَ الَّذِیْ فِی السَّمَآءِ عَرْشُهٗ سُبْحٰنَ الَّذِیْ فِی الْاَرْضِ مَوْطِئُهٗ سُبْحٰنَ الَّذِیْ فِی الْبَحْرِ سَبِیْلُهٗ سُبْحٰنَ الَّذِیْ فِی النَّارِ سُلْطَانُهٗ سُبْحٰنَ الَّذِیْ فِی الْجَنَّةِ رَحْمَتُهٗ سُبْحٰنَ الَّذِیْ فِی الْقَبْرِ قَضَاؤُهٗ سُبْحٰنَ الَّذِیْ فِی الْهَوَآءِ رُوْحُهٗ سُبْحٰنَ الَّذِیْ رَفَعَ السَّمَآءَ سبحان الَّذِیْ وَضَعَ الْاَرْضَ سبحان الَّذِیْ لَا مَلْجَاً و لَا مَنْجَاً مِنْهُ اِلَّا اِلَیْهِ.

तर्जमा :— "पाक है वह जिसका अ़र्श बलन्दी में है पाक है वह जिसकी हुकूमत ज़मीन में है, पाक है वह कि दरिया में उसका हुक्म है पाक है वह कि हवा में जो रूहें हैं उसकी मिल्क हैं, पाक है वह जिसने आसमान को बलन्द किया, पाक है वह जिसने ज़मीन को पस्त किया, पाक है वह कि उसके अ़ज़ाब से पनाह व नजात की कोई जगह नहीं मगर उसी की तरफ़"।

सुबह :— मुस्तहब वक़्त में नमाज़ पढ़ कर लब्बैक व ज़िक्र व दुरूद शरीफ़ में मशग़ूल रहो यहाँ तक कि आफ़ताब कोहे सुबैर पर जो मस्जिदे ख़ैफ़ शरीफ़ के सामने है चमके ,अब अ़रफ़ात को चलो दिल को ग़ैर के ख़्याल से पाक करने में कोशिश करो कि आज वह दिन है कि कुछ का हज कबूल करेंगे और कुछ को उनके सदके में बख़्श देंगे महरूम वह जो आज महरूम रहा। वसवसे आयें तो

उनसे लड़ाई न बाँधो कि यूँ भी दुश्मन का मतलब हासिल है वह तो यही चाहता है कि तुम और ख़्याल में लग जाओ लड़ाई बाँधी जब भी तो और ख़्याल में पड़े बल्कि वसवसों की तरफ़ ध्यान ही न करो यह समझ लो कि कोई और वुजूद है जो ऐसे ख़्यालात ला रहा है मुझे अपने रब से काम है यूँ इन्शा अल्लाह तआला वह मरदूद नाकाम वापस जायेगा।

मसअला :– अगर अरफ़ा की रात मक्का में गुज़ारी और नवीं को फ़ज्र पढ़ कर मिना होता हुआ अरफ़ात में पहुँचा तो हज हो जायेगा मगर बुरा किया कि सुन्नत को तर्क किया यूहीं अगर रात को मिना में रहा मगर सुबहे सादिक होने से पहले या नमाज़े फज्र से पहले या आफताब निकलने से पहले अरफ़ात को चला गया तो बुरा किया और अगर आठवीं को जुमा का दिन है जब भी ज़वाल से पहले मिना को जा सकता है कि इस पर जुमा फ़र्ज़ नहीं और जुमा का ख़्याल हो तो मिना में भी जुमा हो सकता है जबकि अमीरे मक्का वहाँ हो या उसके हुक्म से जुमा क़ाइम किया जाये।

(9) रास्ते भर ज़िक्र व दुरूद में बसर करो बे–ज़रूरत कुछ बात न करो लब्बैक की बेशुमार बार–बार कसरत करते चलो और मिना से निकल कर यह दुआ पढ़ो :–

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ لِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ اَرَدْتُّ فَاجْعَلْ ذَنْبِيْ مَغْفُوْرًا وَّ حَجِّيْ مَبْرُوْرًا وَّارْحَمْنِيْ وَ لَا تُخَيِّبْنِيْ وَ بَارِكْ لِيْ فِيْ سَفَرِيْ وَ اقْضِ بِعَرَفَاتٍ حَاجَتِيْ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا اَقْرَبَ غَدْوَةٍ غَدَوْتُهَا مِنْ رِّضْوَانِكَ وَ اَبْعَدَهَا مِنْ سَخَطِكَ. اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ غَدَوْتُ وَ عَلَيْكَ اعْتَمَدْتُّ وَ وَجْهَكَ اَرَدْتُّ فَاجْعَلْنِيْ مِمَّنْ تُبَاهِيْ بِهِ الْيَوْمَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّيْ وَ اَفْضَلُ. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ الدَّآئِمَةَ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह ! मैं तेरी तरफ़ मुतवज्जेह हुआ और तुझ पर मैंने तवक्कुल (भरोसा) किया और तेरे वजहे करीम का इरादा किया मेरे गुनाह बख़्श और मेरे हज को मबरूर (मक़बूल) कर और मुझ पर रहम कर और मुझे टोटे (घाटे)में न डाल और मेरे लिए मेरे सफ़र में बरकत दे और अरफ़ात में मेरी हाजत पूरी कर बेशक तू हर शय पर क़ादिर है ऐ अल्लाह मेरा चलना अपनी ख़ुशनूदी से क़रीब कर और अपनी नाखुशी से दूर कर इलाही मैं तेरी तरफ़ चला और तुझी पर एअ्तिमाद (भरोसा)किया और तेरी ज़ात का इरादा किया तू मुझको उनमें से कर जिनके साथ क़यामत के दिन तू मुबाहात(फ़ख़्र)करेगा जो मुझसे बेहतर व अफ़ज़ल हैं। इलाही मैं तुझसे अफ़्व (माफ़ी) व आफ़ियत (माफ़ करने)का सवाल करता हूँ और उस आफ़ियत का जो दुनिया व आख़िरत में हमेशा रहने वाली है और अल्लाह दुरूद भेजे बेहतरीन मख़लूक़ मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनकी आल व असहाब सब पर।

(10)जब निगाह जबले रहमत पर पड़े इन कामों यअ्नी ज़िक्र व दुरूद व दुआ में और ज़यादा कोशिश करो कि इन्शा अल्लाह तआला क़बूल का वक़्त है।

(11)अरफ़ात में उस पहाड़ के पास या जहाँ जगह मिले आम रास्ते से बच कर उतरो।

(12) आज के हुजूम(भीड़)में कि लाखों आदमी, हज़ारों डेरे ख़ेमे होते हैं अपने डेरे से जाकर वापसी

में उसका मिलना दुश्वार होता है इसलिए पहचान का निशान उस पर लगा दो कि दूर से नज़र आये।

(13)मसतूरात (औ़रतें) साथ हों तो उनके बुरक़े पर भी कोई कपड़ा ख़ास़ अ़लामत चमकते रंग का लगा दो कि दूर से देखकर पहचान सको और दिल में तशवीश (बेचैनी) न रहे।

(14)दोपहर तक ज़्यादा वक़्त अल्लाह के हुज़ूर ज़ारी यअ्नी आ़जिज़ी के साथ रोते हुए और ख़ालिस नियत से त़ाक़त भर स़दक़ा व ख़ैरात व ज़िक्र व लब्बैक व दुरूद व दुआ़ व इस्तिग़फ़ार व कलिमए तौह़ीद में मशग़ूल रहे। ह़दीस में है नबी स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम फ़रमाते हैं सब में बेहतर वह चीज़ जो आज के दिन मैंने और मुझ से पहले अम्बिया ने कही यह है :–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَ
يُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرِ ،وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۔

और चाहे ते उसके साथ आगे लिखी दुआ भी पढ़े :–

لَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ وَ لَا نَعْرِفُ رَبًّا سِوَاهُ ۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَّ فِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَّ فِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا ۔ اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَ يَسِّرْلِيْ اَمْرِيْ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَسَاوِسِ الصَّدْرِ وَ تَشْتِيْتِ الْاَمْرِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي اللَّيْلِ وَ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي النَّهَارِ وَّ شَرِّ مَا تَهُبُّ بِهِ الرِّيْحُ وَ مِنْ شَرِّ بَوَائِقِ الدَّهْرِ ۔ اَللّٰهُمَّ هٰذَا مَقَامُ الْمُسْتَجِيْرِ الْعَائِذِ مِنَ النَّارِ ۔ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ بِعَفْوِكَ وَ اَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ۔ اَللّٰهُمَّ اِذْ هَدَيْتَنِيْ لِلْاِسْلَامَ فَلَا تَنْزِعْهُ عَنِّيْ حَتّٰى تَقْبِضَنِيْ وَ اَنَا عَلَيْهِ ۔

तर्जमा :– " उसके सिवा हम किसी की इबादत नहीं करते और उसके सिवा किसी को रब नहीं जानते। ऐ अल्लाह! तू मेरे दिल में नूर कर और मेरे कान और निगाह में नूर कर। ऐ अल्लाह! मेरे सीने को खोल दे और मेरे अम्र (काम)को आस़ान कर और तेरी पनाह माँगता हूँ सीने के वसवसों और काम की परागन्दगी और अ़ज़ाबे क़ब्र से। ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह माँगता हूँ उसके शर से जो रात में दाख़िल होती है और दिन में दाख़िल होती है और उसके शर से जिसके साथ हवा चलती है और आफ़ाते ज़माना के शर से। ऐ अल्लाह! यह अमन के त़ालिब और जहन्नम से पनाह माँगने वाले के खड़े होने की जगह है अपने अ़फ़्व के साथ मुझको जहन्नम से बचा और अपनी रह़मत से जन्नत में दाख़िल कर। ऐ सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान! ऐ अल्लाह! जब तूने इस्लाम की त़रफ़ मुझे हिदायत की तो इसको मुझसे जुदा न करना यहाँ तक कि मुझे इसी इस्लाम पर वफ़ात देना,आमीन!

(15) दोपहर से पहले खाने पीने वग़ैरा ज़रूरियात से फ़ारिग़ हो ले कि दिल किसी त़रफ़ लगा रहे आज के दिन जैसे ह़ाजी को रोज़ा मुनासिब नहीं कि दुआ़ में कमज़ोरी होग़ी यूहीं पेट भर खाना सख़्त ज़हर और ग़फ़लत व सुस्ती की वजह है तीन रोटी की भूक वाला एक ही खाये नबी स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने तो हमेशा के लिए यही हुक्म दिया है और ख़ुद दुनिया से तशरीफ़ ले गये और जौ की रोटी कभी पेट भर न खाई ह़ालाँकि अल्लाह के हुक्म से तमाम जहान इख़्तियार में था और है। अनवार व बरकात लेना चाहो तो न सिर्फ़ आज बल्कि ह़रमैन शरीफ़ैन में जब तक हाज़िर रहो, तिहाई पेट से ज़्यादा हरगिज़ न खाओ मानोगे तो उसका फ़ायदा,और न मानोगे तो उसका नुक़स़ान आँखो से देख लोगे, हफ़्ता भर इस पर अ़मल करके देखो पहली ह़ालत

फ़र्क़ न पाओ तो कहना जी बचे तो खाने–पीने के बहुत से दिन हैं यहाँ तो नूर व ज़ौक़ के लिए जगह ख़ाली रखो। इसी के मुतअ़ल्लिक़ कहे गए एक फ़ारसी शेर का तर्जमा यह है : "पेट खाने से ख़ाली रख ताकि तू उस में मारिफ़त का नूर देखे वरना, भरा बर्तन दोबारा क्या भरेगा।

(16) जब दोपहर क़रीब आये नहाओ कि सुन्नते मुअक्कदा है और न हो सके तो सिर्फ़ वुज़ू करो।

अ़रफ़ात में ज़ुहर व अ़स्र की नमाज़

(17) दोपहर ढलते ही बल्कि इस से पहले कि इमाम के क़रीब जगह मिले **मस्जिदे नमरा** जाओ सुन्नतें पढ़ कर ख़ुत़बा सुन कर इमाम के साथ ज़ुहर पढ़ो उस के बअ़्द बिना देर किए अ़स्र की तकबीर होगी फ़ौरन जमाअ़त से अ़स्र पढ़ो बीच में सलाम व कलाम तो क्या मअ़्ना सुन्नतें भी न पढ़ो और अ़स्र के बअ़्द भी नफ़्ल नहीं। यह ज़ुहर व अ़स्र मिला कर पढ़ना जभी जाइज़ है कि नमाज़ या तो सुल्तान(बादशाह)पढ़ाये या वह जो हज में उसका नाइब होकर आता है, जिस ने ज़ुहर अकेले या अपनी ख़ास़ जमाअ़त से पढ़ी उसे वक़्त से पहले अ़स्र पढ़ना जाइज़ नहीं और जिस ह़िकमत के लिए शरीअ़त ने यहाँ ज़ुहर के साथ अ़स्र मिलाने का हुक्म फ़रमाया है यअ़्नी ग़ुरूबे आफ़ताब तक दुआ़ के लिए वक़्त ख़ाली मिलना वह जाती रहेगी।

मसअ्ला :– मिला कर दोनों नमाज़ें जो यहाँ एक वक़्त में पढ़ने का हुक्म है उस में पूरी जमाअ़त मिलना शर्त़ नहीं बल्कि मस्लन ज़ुहर के आख़िर में शरीक हुआ और सलाम के बअ़्द जब अपनी पूरी करने लगा इतने में इमाम अ़स्र की नमाज़ ख़त्म करने के क़रीब हुआ यह सलाम के बअ़्द अ़स्र की जमाअ़त में शामिल हुआ जब भी हो गई। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मिला कर पढ़ने में यह भी शर्त़ है कि दोनों नमाज़ों में एहराम के साथ हो अगर ज़ुहर पढ़ने के बअ़्द एहराम बाँधा तो अ़स्र मिला कर नहीं पढ़ सकता। और यह भी शर्त़ है कि वह एहराम हज का हो अगर ज़ुहर में उ़मरा का था अ़स्र में हज का हुआ जब भी नहीं मिला सकता।(दुर्रे मुख़्तार)

वुक़ूफ़े अ़रफ़ा का बयान :– ख़्याल करो जब शरीअ़त का यह वक़्त दुआ के लिए फ़ारिग़ करने का इस क़द्र एहतिमाम है कि अ़स्र को ज़ुहर के साथ मिला कर पढ़ने का हुक्म दिया तो इस वक़्त और काम में मशग़ूली किस क़द्र बेहूदा है बअ़्ज़ अहमक़ों (बेवक़ूफ़ों)को देखा है कि इमाम तो नमाज़ में है या नमाज़ पढ़ कर मौक़फ़ को गया और वह बेवक़ूफ़ खाने–पीने हुक़्क़ा चाय उड़ाने में हैं। ख़बरदार ! ऐसा न करो इमाम के साथ नमाज़ पढ़ते ही फ़ौरन **मौक़फ़** यअ़्नी वह जगह कि नमाज़े अ़स्र के बअ़्द से सूरज डूबने तक वहाँ खड़े होकर ज़िक्र व दुआ का हुक्म है उस जगह को रवाना हो जाओ और मुमकिन हो तो ऊँट पर सवार हो कर रवाना हो जाओ कि सुन्नत भी है और हुजूम में बदन कुचलने से मुह़ाफ़ज़त (ह़िफ़ाज़त)

(19) बअ़्ज़ मुत़व्विफ़ (त़वाफ़ कराने वाले)उस मजमा में जाने से मना करते और त़रह त़रह डराते हैं उनकी न सुनो बल्कि मौक़फ़ ज़रूर–ज़रूर जाओ क्यूँकि वह ख़ास, आम रहमत नाज़िल होने की जगह है हाँ औरतें और कमज़ोर मर्द यहीं से खड़े हुए दुआ में शामिल हों कि बत़्ने उ़रना (बत़्ने उ़रना अ़रफ़ात में ह़रम के नालों में से एक नाला है मस्जिदे नमरा के पश्छिम की त़रफ़ यअ़्नी कअ़्बए मुअ़ज़्ज़मा की त़रफ़ वहाँ वुक़ूफ़ नाजाइज़ है)के सिवा यह सारा मैदान मौक़फ़ है और यह

लोग भी यही तसव्वूर व ख़्याल करें कि हम उस मजमा में हाज़िर हैं अपनी डेढ़ ईंट की अलग न समझें उस मजमा में यकीनन बहुत से औलिया बल्कि हज़रते इलयास व हज़रते ख़िज़्र अलैहिस्सलाम दो नबी भी मौजूद हैं यह तसव्वुर करें कि अनवार व बरकात जो इस मजमा में उन पर उतर रहे हैं उनका सदका हम भिकारियों को भी पहुँचता है यूँ अलग होकर भी शामिल रहेंगे और जिस से हो सके तो वहाँ की हाज़िरी छोड़ने की चीज़ नहीं।

(20) अफ़ज़ल यह है इमाम से नज़्दीक जबले रहमत के करीब जहाँ छोटी सी मस्जिद है (जहाँ स्याह पत्थर का फ़र्श है) क़िब्ला की जानिब मुँह करके इमाम के पीछे खड़ा हो जब कि इन फ़ज़ाइल के हासिल करने में दिक़्क़त या किसी को तकलीफ़ न हो वरना जहाँ और जिस तरह हो सके वुकूफ़ करे(ठहरे)। इमाम के दाहिने जानिब और बाईं जानिब सामने होने से अफ़ज़ल है यह वुकूफ़ ही हज की जान और उसका बड़ा रुक्न है वुकूफ़ के लिए खड़ा रहना अफ़ज़ल है,शर्त या वाजिब नहीं, बैठा रहा जब भी वुकूफ़ हो गया वुकूफ़ में नियत और क़िब्ला की तरफ़ मुँह करना अफ़ज़ल है।

वुकूफ़ की सुन्नतें

वुकूफ़ में ये काम सुन्नत हैं :1–गुस्ल 2–दोनों ख़ुतबों की हाज़िरी 3–दोनों नमाज़ें मिला कर पढ़ना 4–बे रोज़ा होना 5–बा–वुज़ू होना 6–नमाज़ों के बअ्द फ़ौरन वुकूफ़ करना।

(21) बअ्ज़ जाहिल यह करते हैं कि पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और वहाँ खड़े होकर रुमाल हिलाते रहते हैं, इससे बचो और उनकी तरफ़ भी बुरा ख़्याल न करो यह वक़्त औरों के ऐब देखने का नहीं अपने ऐबों पर शर्मसारी और गिरया व ज़ारी का है।

(22)अब वह लोग कि यहाँ हैं और वह कि डेरों में हैं सब मुकम्मल सिद्क दिल से अपने करीम मेहरबान रब की तरफ़ मुतवज्जेह हो जायें और मैदाने क़ियामत में हिसाबे आमाल के लिए उसके हुज़ूर हाज़िरी का तसव्वुर करें निहायत खुशूअ् व खुज़ूअ् के साथ लरज़ते, काँपते ,डरते, उम्मीद करते आँखें बन्द किये गरदन झुकाये, दस्ते दुआ आसमान की तरफ़ सर से ऊँचा फैलाये, तकबीर व तहलील व तस्बीह व लब्बैक व हम्द व ज़िक्र व दुआ व तौबा व इस्तिग़फ़ार में डूब जाये कोशिश करे कि एक क़तरा आँसू का टपके कि कबूल होने और खुश्नसीबी की दलील है वरना रोने की तरह मुँह बनाये कि अच्छों की सूरत भी अच्छी। दुआ व ज़िक्र के दरमियान लब्बैक की बार–बार तकरार करे आज के दिन की बहुत सी दुआयें बुज़ुर्गो से नक्ल की गई हैं और दुआए जामे कि ऊपर गुज़री काफ़ी है चन्द बार उसे कह लो और सब से बेहतर यह कि सारा वक़्त दुरूद व ज़िक्र व तिलावते कुर्आन में गुज़ार दो कि हदीस के वअ्दे के मुताबिक़ दुआ वालों से ज़्यादा पाओगे नबी सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम का दामन पकड़ो ,गौसे अअ्ज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु से तवस्सलु करो, अपने गुनाह और उसकी क़हहारी याद करके बेद की तरह लरज़ो और यक़ीन जानो कि उसकी मार से उसी के सिवा कहीं ठिकाना नहीं लिहाज़ा शफ़ीओं का दामन पकड़े उसके अ़ज़ाब से उसी की पनाह माँगो और उसी हालत में रहो कि कभी उसके ग़ज़ब की याद से जी काँपा जाता है और कभी उसकी रहमते आम की उम्मीद से मुरझाया दिल निहाल (खुश) हो जाता है यूहीं तज़र्रो व ज़ारी में रहो यानी रोओ और आजिज़ी करो यहाँ तक कि आफ़ताब डूब जाये और

रात का एक लतीफ़ (हल्का) जुज़ हिस्सा आ जाये इससे पहले चला जाना मना है बाज़ जल्दबाज़ दिन ही से चल देते हैं उनका साथ न दो गुरूब तक ठहरने की ज़रूरत न होती तो अस्र की जुहर से मिला कर क्यों पढ़ने का हुक्म होता और क्या मअ्लूम कि रहमते इलाही किस वक़्त तवज्जोह फ़रमाये अगर तुम्हारे चल देने के बअ्द उतरी तो मआज़ल्लाह कैसा ख़सारा(नुक़सान) है और अगर गुरूब से पहले अरफ़ात की हदों से निकल गये जब तो पूरा–पूरा जुर्म है बाज़ मुतव्विफ़ यहाँ यूँ डराते हैं कि रात में ख़तरा है यह दो एक के लिए ठीक है और जब सारा क़ाफ़िला ठहरेगा तो इन्शाअल्लाह तआला कुछ अन्देशा नहीं। इस मकाम पर पढ़ने के लिए बाज़ दुआयें लिखी जाती हैं। اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ. तीन बार फिर कलिमए तौहीद उसके बाद

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِیْ بِالْهُدٰی وَ نَقِّنِیْ وَ اعْصِمْنِیْ بِالتَّقْوٰی وَ اغْفِرْلِیْ فِی الْاٰخِرَةِ وَ الْاُوْلٰی

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह! मुझको हिदायत के साथ रहनुमाई कर और पाक कर और परहेज़गारी के साथ गुनाह से महफ़ूज़ रख और दुनिया व आख़िरत में मेरी मग़फ़िरत फ़रमा" तीन बार

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّ ذَنْبًا مَّغْفُوْرًا اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِیْ نَقُوْلُ وَ خَیْرًا مِّمَّا نَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ صَلَاتِیْ وَ نُسُكِیْ وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِیْ وَ اِلَیْكَ مَاٰلِیْ وَ لَكَ رَبِّ تُرَاثِیْ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ وَسْوَسَةِ الصَّدْرِ وَ شِتَاتِ الْاَمْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ مِنْ خَیْرِ مَا تَجِیْءُ بِهِ الرِّیْحُ وَ نَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاتَجِیْءُ بِهِ الرِّیْحُ اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا بِالْهُدٰی وَ زَیِّنَّا بِالتَّقْوٰی وَ اغْفِرْ لَنَا فِی الْاٰخِرَةِ وَ الْاُوْلٰی اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ رِزْقًا طَیِّبًا مُّبَارَكًا اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ اَمَرْتَ بِالدُّعَآءِ وَ قَضَیْتَ عَلٰی نَفْسِكَ بِالْاِجَابَةِ وَ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِیْعَادَ. لَا تَنْكُثْ عَهْدَكَ اَللّٰهُمَّ مَآ اَحْبَبْتَ مِنْ خَیْرٍ فَحَبِّبْهُ اِلَیْنَا وَ یَسِّرْهُ لَنَا وَ مَا كَرِهْتَ مِنْ شَرٍّ فَكَرِّهْهُ اِلَیْنَا وَ جَنِّبْنَاهُ وَ لَا تَنْزِعْ مِنَّا الْاِسْلَامَ بَعْدَ اِذْهَدَیْتَنَا . اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَرٰی مَكَانِیْ وَ تَسْمَعُ كَلَامِیْ وَ تَعْلَمُ سِرِّیْ وَ عَلَانِیَتِیْ وَ لَا یَخْفٰی عَلَیْكَ شَیْءٌ مِّنْ اَمْرِیْ اَنَا الْبَآئِسُ الْفَقِیْرُ. اَلْمُسْتَغِیْثُ الْمُسْتَجِیْرُ الْوَجِلُ الْمُشْفِقُ الْمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِهٖ اَسْاَلُكَ مَسْاَلَةَ الْمِسْكِیْنِ وَ اَبْتَهِلُ اِلَیْكَ اِبْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِیْلِ وَ اَدْعُوْكَ دُعَآءَ الْخَآئِفِ الْمُضْطَرِّ دُعَآءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهٗ وَ فَاضَتْ لَكَ عَیْنَاهُ وَ نَحِلَ لَكَ جَسَدُهٗ وَ رَغِمَ اَنْفُهٗ . اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنِیْ بِدُعَآئِكَ رَبِّیْ شَقِیًّا وَّ كُنْ بِیْ رَءُوْفًا رَّحِیْمًا یَا خَیْرَ الْمَسْئُوْلِیْنَ وَ خَیْرَ الْمُعْطِیْنَ.

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह! इसको हज्जे मबरूर कर और गुनाह बख़्श दे इलाही तेरे लिए हम्द है जैसी हम कहते हैं और उससे बेहतर जो हम कहें। ऐ अल्लाह! मेरी नमाज़ व इबादत और मेरा जीना और मरना तेरे ही लिए है और तेरी ही तरफ़ मेरी वापसी है और ऐ परवर्दिगार! तू ही मेरा वारिस है। ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह माँगता हूँ अज़ाबे क़ब्र और सीने के वसवसे और काम की परागन्दगी से, इलाही मैं सवाल करता हूँ उस चीज़ की ख़ैर का जिस को हवा लाती है और उस चीज़ के शर से पनाह माँगता हूँ जिसे हवा लाती है। इलाही हिदायत की तरफ़ हमको रहनुमाई कर और तक़वा से हमको मुज़य्यन कर और आख़िरत व दुनिया में हमको बख़्श दे। इलाही मैं रिज़्क़े पाकीज़ा व मुबारक का तुझसे सवाल करता हूँ। इलाही तूने दुआ करने का हुक्म दिया और क़बूल

करने का ज़िम्मा तूने ख़ुद लिया। और बेशक तू वअ़्दे के ख़िलाफ़ नहीं करता और अपने अ़हद को नहीं तोड़ता, इलाही जो अच्छी बातें तुझे महबूब हैं उन्हें हमारी महबूब कर दे और हमारे लिए मयस्सर कर और जो बुरी बातें तुझे ना–पसन्द हैं उन्हें हमारी ना–पसन्द कर और हम को उन से बचा और इस्लाम की तरफ़ तूने हम को हिदायत फ़रमाई तू उस को हम से जुदा न कर इलाही तू मेरे मकान को देखता है। और मेरा कलाम सुनता है और मेरे पोशीदा वा ज़ाहिर को जानता है, मेरे काम में से कोई शय तुझ पर मख़फ़ी(छुपी)नहीं मैं ना–मुराद, मोहताज फ़रियाद करने वाला,पनाह चाहने वाला, ख़ौफ़नाक(बेहुत डरने वाला)अपने गुनाह का मुक़िर(इक़रार करने वाला) व मोअ़्तरिफ़(मानने वाला)हूँ मिस्कीन की तरह तुझसे सवाल करता हूँ और गुनाहगार ज़लील की तरह तुझसे आजिज़ी करता हूँ और डरे मुज़्तर (बेक़रार, बेचैन)की तरह तुझसे दुआ़ करता हूँ, उसकी मिस्ल दुआ़ जिसकी गरदन तेरे लिए झुक गई और आँखें जारी और बदन लाग़र और नाक ख़ाक में मिली है। ऐ परवरदिगार! तू अपनी हिदायत से मुझे बदबख़्त न कर और मुझ पर बहुत मेहरबान हो जा, ऐ बेहतर सवाल किये गये और ऐ बेहतर देने वाले"।

और बैहक़ी की रिवायत जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से ऊपर मज़कूर हो चुकी उसमें जो दुआ़यें हैं उन्हें भी पढ़े यअ़्नी :

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

सौ बार पढ़े, सूरए इख़्लास सौ बार पढ़े और नीचे लिखी दुरूद शरीफ़ सौ बार पढ़े।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا

اِبْرَاهِيْمَ. وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ.

इब्ने अबी शैबा वग़ैरा अमीरुल मोमिनीन मौला अ़ली कर्रमल्लाहु तआ़ला वजहहुल करीम से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मेरी और अम्बिया की दुआ़ अ़रफ़ा के दिन यह है।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَ يُمِيْتُ . وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ . اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَّفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا وَّ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا. اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَ يَسِّرْلِيْ اَمْرِيْ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَّ سَاوِسِ الصَّدْرِ وَ تَشْتِيْتِ الْاَمْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِى اللَّيْلِ وَ شَرِّ مَا يَلِجُ فِى النَّهَارِ وَ شَرِّ مَا تَهُبُّ بِهِ الرِّيْحُ وَ شَرِّ بَوَائِقِ الدَّهْرِ.

तर्जमा :– " नहीं है कोई मअ़्बूद मगर अल्लाह जो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए मुल्क है, और उसी के लिए हम्द है, और वह जिलाता है, और मारता है, और वह हर चीज़ पर क़ादिर है। ऐ अल्लाह! मेरा, सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर और मैं तेरी पनाह माँगता हूँ सीने के वसवसों और काम की परागन्दगी और अ़ज़ाबे क़ब्र से। ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह माँगता हूँ उसकी बुराई से जो रात में दाख़िल होती है और उसकी बुराई से जो दिन में दाख़िल होती है और उसकी बुराई से जिसे हवा उड़ा लाती है और आफ़ाते दहर की बुराई से।"

इस मक़ाम पर पढ़ने की बहुत दुआयें किताबों में मज़कूर हैं मगर इतनी ही में किफ़ायत है और दुरूद शरीफ़ व तिलावते क़ुर्आन मजीद सब दुआओं से ज़्यादा मुफ़ीद है।

(23) इस रोज़ एक अदब जिसका याद रखना वाजिब है बहुत ज़रूरी है वह यह है कि अल्लाह तआ़ला के सच्चे वअ़दों पर भरोसा करके यक़ीन करे कि आज मैं गुनाहों से ऐसा पाक हो गया जैसा जिस दिन माँ के पेट से पैदा हुआ था अब कोशिश करूँगा कि आइन्दा गुनाह न हों और जो दाग़ अल्लाह तआ़ला ने महज़ अपनी रहमत से मेरी पेशानी से धोया है फिर न लगे।

वुक़ूफ़ के मकरूहात

(24) यहाँ यह बातें मकरूह हैं :1—ग़ुरूबे आफ़ताब से पहले वुक़ूफ़ छोड़ कर रवानगी जबकि ग़ुरूब तक अ़रफ़ात की हदों से बाहर न हो जाये वरना हराम है। 2—नमाज़े अ़स्र व ज़ुहर मिलाने के बाद मौक़फ़ को जाने में देर करना। 3—उस वक़्त से ग़ुरूब तक खाने पीने 4—या ख़ुदा की तरफ़ तवज्जोह के सिवा किसी काम में मशग़ूल होना। 5—कोई दुनियावी बात करना। 6—ग़ुरूब पर यक़ीन हो जाने के बअ़्द रवानगी में देर करना। 7—मग़रिब या इशा अ़रफ़ात में पढ़ना।

तम्बीह :— मौक़फ़ में छतरी लगाने या किसी तरह साया चाहने से ताक़त भर बचो, हाँ जो मजबूर है माज़ूर है।

ज़रूरी नसीहत : तम्बीहे ज़रूरी ,ज़रूरी अशद ज़रूरी! बदनिगाही(बुरी नज़र से देखना) हमेशा हराम है न कि मौक़फ़ या मस्जिदे हराम में न कि कअ़्बाए मुअ़ज़्ज़मा के सामने न कि तवाफ़े बैतुलहराम में यह तुम्हारे बहुत इम्तिहान का मौक़ा है औरतों को हुक्म दिया गया है कि यहाँ मुँह न छुपाओ और तुम्हें हुक्म दिया गया है कि उनकी तरफ़ निगाह न करो। यक़ीन जानो कि यह बड़े ग़ैरत वाले बादशाह की बांदियाँ हैं और उस वक़्त तुम और वह ख़ास दरबार में हाज़िर हो बिला तश्बीह शेर का बच्चा उसकी बग़ल में हो उस वक़्त कौन उस की तरफ़ निगाह उठा सकता है तो अल्लाह वाहिदे क़हहार की कनीज़ें कि उसके ख़ास दरबार में हाज़िर हैं उन पर बदनिगाही किस क़द्र सख़्त होगी। وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى हाँ, हाँ होशियार! ईमान बचाये हुए क़ल्ब व निगाह सँभाले हुए, हरम वह जगह है जहाँ गुनाह के इरादे पर पकड़ा जाता एक गुनाह लाख गुनाह के बरबार ठहरता है। इलाही ख़ैर की तौफ़ीक़ दे। आमीन!

वुक़ूफ़ के मसाइल

मसअ्ला :— वुक़ूफ़ का वक़्त नवीं ज़िलहिज्जा के आफ़ताब ढलने से दसवीं की तुलूए फ़ज्र (सुबहे सादिक़ यअ़्नी फ़ज्र की नमाज़ का वक़्त शुरूअ़ होने) तक है ,इस वक़्त के अ़लावा किसी और वक़्त वुक़ूफ़ किया तो हज न मिला मगर एक सूरत में, वह यह कि ज़िलहिज्जा का चाँद दिखाई न दिया ज़ीक़अ़्दा के तीस दिन पूरे करके ज़िलहिज्जा का महीना शुरूअ़ किया और इस हिसाब से आज नवीं है बअ़्द को साबित हुआ कि उन्तीस का चाँद हुआ तो इस हिसाब से दसवीं होगी और वुक़ूफ़ दसवीं तारीख़ को हुआ मगर ज़रूरतन यह जाइज़ माना जायेगा। और अगर धोका हुआ कि आठवीं को नवीं समझ कर वुक़ूफ़ किया फिर मअ़्लूम हुआ तो यह वुक़ूफ़ सही न हुआ। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :— अगर गवाहों ने रात के वक़्त गवाही दी कि नवीं तारीख़ आज थी और यह दसवीं रात है तो अगर इस रात में सब लोगों या अकसर के साथ इमाम वुक़ूफ़ कर सकता है तो वुक़ूफ़

लाज़िम है वुकूफ़ न करें तो हज फ़ौत हो जायेगा यअ्नी हज फिर से करना फ़र्ज़ होगा और अगर इतना वक़्त बाक़ी न हो कि अकसर लोगों के साथ इमाम वुकूफ़ करे अगर्चे ख़ुद इमाम और जो थोड़े लोग जल्दी करके जायें तो सुबह से पहले पहुँच जायेंगे मगर जो लोग पैदल हैं और जिनके साथ बाल बच्चे हैं और जिनके पास सामान ज़्यादा है उनको वुकूफ़ न मिलेगा तो उस शहादत के मुवाफ़िक़ अमल न करे। (मुनसक)

मसअ्ला :— जिन लोगों ने ज़िलहिज्जा के चाँद की गवाही दी और उनकी गवाही क़बूल न हुई वह लोग अगर इमाम से एक दिन पहले वुकूफ़ करेंगे तो उनका हज न होगा बल्कि उन पर भी ज़रूरी है कि उसी दिन वुकूफ़ करें जिस दिन इमाम वुकूफ़ करे अगर्चे उनके हिसाब से अब दसवीं तारीख़ है। (मुनसक)

मसअ्ला :— थोड़ी देर ठहरने से भी वुकूफ़ हो जाता है चाहे उसे मअ्लूम हो कि अ़रफ़ात है या मअ्लूम न हो, बा—वुज़ू हो या बे—वुज़ू, जुनुब(नापाक)हो या हैज़ व निफ़ास वाली औ़रत, सोता हो या बेदार हो, होश में हो या जुनून व बेहोशी में, यहाँ तक कि अ़रफ़ात से हो कर जो गुज़र गया उसे हज मिल गया यअ्नी अब हज उसका फ़ासिद (बेकार) न होगा जबकि यह सब एहराम से हों। बेहोशी में एहराम की सूरत यह है कि पहले होश में था और उसी वक़्त एहराम बाँध लिया था और अगर एहराम बाँधने से पहले बेहोश हो गया और उसके साथियों में से किसी ने या किसी और ने उसकी त़रफ़ से एहराम बाँध दिया अगर्चे इस एहराम बाँधने वाले ने ख़ुद अपनी त़रफ़ से भी एहराम बाँधा हो कि उसका 'एहराम' इसके एहराम के मुनाफ़ी ख़िलाफ़ नहीं तो इस सूरत में भी वह मुहरिम हो गया। दूसरे के एहराम बाँधने का यह मत़लब नहीं कि उसके कपड़े उतार कर तहबन्द बाँध दे बल्कि यह कि उसकी तरफ़ से नीयत करे और लब्बैक कहे। (आ़लमगीरी, जौहरा)

मसअ्ला :— जिसका हज फ़ौत हो गया यअ्नी उसे वुकूफ़ न मिला तो अब हज के बाक़ी अफ़आल साक़ित(ख़त्म)हो गये उसका एहराम उ़मरा की त़रफ़ मुन्तक़िल हो गया लिहाज़ा उ़मरा करके एहराम खोल डाले और आइन्दा साल हज करे। (आ़लमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— आफ़ताब डूबने से पहले इज़्दिहाम(भीड़—भाड़)के ख़ौफ़ से अ़रफ़ात की ह़दों से बाहर हो गया उस पर दम वाजिब है फिर अगर आफ़ताब डूबने से पहले वापस आया और ठहरा रहा यहाँ तक कि आफ़ताब ग़ुरूब हो गया तो दम माफ़ हो गया और अगर सूरज डूबने के बअ्द वापस आया तो दम माफ़ न हुआ और अगर सवारी पर था और जानवर उसे लेकर भाग गया जब भी दम वाजिब है यूहीं अगर उसका ऊँट भाग गया यह उसके पीछे चल दिया जब भी दम वाजिब है। (मुनसक)

मसअ्ला :— मुहरिम ने नमाज़े इशा नहीं पढ़ी है और वक़्त सिर्फ़ इतना बाक़ी है कि चार रकअ्त पढ़े मगर पढ़ता है तो वुकूफ़े अ़रफ़ा जाता रहेगा तो नमाज़ छोड़े और अ़रफ़ात को जाये (जौहरा)और बेहतर यह कि चलते में पढ़ ले बाद को इआदा करे यअ्नी दोहराये। (मुनसक)

मुज़दलेफ़ा की रवानगी और उसका वुकूफ़

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है :—

فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ۝

तर्जमा :– "जब अरफ़ात से तुम वापस आओ तो मशअ़रे हराम (मुज़दलेफ़ा) के नज़दीक अल्लाह का ज़िक्र करो और उसको याद करो जैसे उसने तुम्हें बताया और बेशक इससे पहले तुम गुमराहों से थे।"

सही मुस्लिम शरीफ़ में जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी है कि हज्जतुलवदअ़ में नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम अ़रफ़ात से मुज़दलेफ़ा में तशरीफ़ लाये यहाँ मग़रिब व इशा की नमाज़ पढ़ी फिर लेटे यहाँ तक कि नमाज़े फ़ज्र का वक़्त शुरूअ़ हुआ जब सुबह हुई उस वक़्त अज़ान व इक़ामत के साथ नमाज़े फ़ज्र पढ़ी फिर अपनी ऊँटनी क़ुस्वा पर सवार होकर मशअ़रे हराम में आये और क़िब्ला की जानिब मुँह करके दुआ़ व तकबीर व तहलील व तौहीद में मशग़ूल रहे और वुक़ूफ़ किया यहाँ तक कि ख़ूब उजाला हो गया और सूरज निकलने से पहले यहाँ से रवाना हुए। बैहक़ी मुहम्मद इब्ने क़ैस इब्ने मख़रिमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने ख़ुतबा पढ़ा और फ़रमाया कि अहले जाहिलियत अ़रफ़ात से उस वक़्त रवाना होते थे जब आफ़ताब,(सूरज) निकले आफ़ताब चेहरे के सामने होता गुरूब से पहले और मुज़दलेफ़ा से आफ़ताब निकलने के बाद रवाना होते जब आफ़ताब चेहरे के सामने होता और हम अ़रफ़ात से न जायेंगे जब तक आफ़ताब डूब न जाये और मुज़दलेफ़ा से सूरज निकलने से पहले रवाना होंगे हमारा तरीक़ा बुतपरस्तों और मुशरिकों के तरीक़े के ख़िलाफ़ है।

(1) जब गुरूबे आफ़ताब का यक़ीन हो जाये फ़ौरन मुज़दलेफ़ा को चलो और इमाम के साथ जाना अफ़ज़ल है मगर वह देर करे तो उसका इन्तिज़ार न करो। (2) रास्ते भर ज़िक्र व दुरूद व दुआ़ व लब्बैक व ज़ारी व बुका (रोने–धोने)में मसरूफ़ रहो। इस वक़्त की बअ़ज़ दुआ़यें यह हैं :–

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَفَضْتُ وَ فِىْ رَحْمَتِكَ رَغِبْتُ وَمِنْ سَخَطِكَ رَهِبْتُ وَ مِنْ عَذَابِكَ اَشْفَقْتُ فَاقْبَلْ نُسُكِىْ وَ اَعْظِمْ اَجْرِىْ وَتَقَبَّلْ تَوْبَتِىْ وَارْحَمْ تَضَرُّعِىْ وَاسْتَجِبْ دُعَائِىْ وَ اَعْطِنِىْ سُؤْالِىْ. اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ هٰذَا اٰخِرَ عَهْدِنَا مِنْ هٰذَا الْمَوْقِفِ الشَّرِيْفِ الْعَظِيْمِ. وَارْزُقْنَا الْعَوْدَ اِلَيْهِ مَرَّاتٍ كَثِيْرَةً بِلُطْفِكَ الْعَمِيْمِ.

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह! मैं तेरी तरफ़ वापस हुआ और तेरी रहमत में रग़बत की और तेरी नाख़ुशी से डरा और तेरे अ़ज़ाब से ख़ौफ़ किया तू मेरी इबादत क़बूल कर और मेरा अज्र अ़ज़ीम कर और मेरी तौबा क़बूल कर और मेरी आ़जिज़ी पर रहम कर और मेरी दुआ़ क़बूल कर और मुझे मेरा सवाल अ़ता कर ऐ अल्लाह! इस शरीफ़ बुज़ुर्ग जगह में मेरी यह हाज़िरी आख़िरी हाज़िरी न कर और तू अपनी मेहरबानी से यहाँ बहुत मरतबा आना नसीब कर"।

(3) रास्ते में जहाँ गुन्जाइश पाओ और अपनी या दूसरे की ईज़ा का ख़तरा न हो तो इतनी देर तेज़ चलो पैदल हो चाहे सवार। (4) जब मुज़दलेफ़ा नज़र आये अगर पैदल चल सको तो पैदल हो लेना बेहतर है और नहा कर दाख़िल होना अफ़ज़ल मुज़दलेफ़ा में दाख़िल होते वक़्त यह दुआ़ पढ़ो :–

اَللّٰهُمَّ هٰذَا جَمْعٌ اَسْأَلُكَ اَنْ تَرْزُقَنِىْ جَوَامِعَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ. اَللّٰهُمَّ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. وَ رَبَّ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ. وَ رَبَّ الْبَلَدِ الْحَرَامِ. وَ رَبَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اَسْأَلُكَ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ. اَنْ تَغْفِرَلِىْ ذُنُوْبِىْ وَ تَرْحَمَنِىْ وَ تَجْمَعَ عَلَى الْهُدٰى اَمْرِىْ وَتَجْعَلَ التَّقْوٰى زَادِىْ وَ ذُخْرِىْ وَ الْاٰخِرَةَ مَاٰبِىْ وَهَبْ لِىْ رِضَاكَ عَنِّىْ فِى الدُّنْيَا

وَالْاٰخِرَةِ يَا مَنْ بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ اَعْطِنِى الْخَيْرَ كُلَّهُ وَاصْرِفْ عَنِّى الشَّرَّ كُلَّهُ. اَللّٰهُمَّ حَرِّمْ لَحْمِىْ وَ عَظْمِىْ وَ شَحْمِىْ وَ شَعْرِىْ وَ سَائِرَ جَوَارِحِىْ عَلَى النَّارِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह! यह जमअ् (मुज़दलेफ़ा)है,मैं तुझसे तमाम ख़ैर के मजमूआ का सवाल करता हूँ, ऐ अल्लाह! मशअ़रे हराम के रब और रुक्न व मक़ाम के रब और इ़ज़्ज़त वाले शहर और इ़ज़्ज़त वाली मस्जिद के रब मैं तुझ से तेरे वजहे करीम के नूर के वसीले से सवाल करता हूँ कि तू मेरे गुनाह बख़्श दे और मुझ पर रहम कर और हिदायत पर मेरे काम को जमा कर दे और तक़्वा को मेरा तोशा और ज़ख़ीरा कर और आख़िरत मेरा मरजअ् कर और दुनिया और आख़िरत में तू मुझसे राज़ी रह। ऐ वह ज़ात जिसके हाथ में तमाम भलाई है मुझको हर क़िस्म की ख़ैर अ़ता कर और हर क़िस्म की बुराई से बचा। ऐ अल्लाह! मेरे गोश्त और हड्डी और चर्बी और बाल और तमाम अअ्ज़ा (जिस्म के हिस्सों) को जहन्नम पर हराम कर दे, ऐ सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान!

मुज़दलेफ़ा में नमाज़े मग़रिब व इशा

(5) वहाँ पहुँच कर जहाँ तक हो सके **जबले क़ुज़ह** के पास रास्ते से बचकर उतरो वरना जहाँ जगह मिले। (6) ग़ालिबन वहाँ पहुँचते–पहुँचते शफ़क़ (सूरज डूबने के बअ्द जो लाली ज़ाहिर होती है) डूब जायेगी मग़रिब का वक़्त निकल जायेगा सवारी से असबाब (सामान) उतारने से पहले इमाम के साथ मग़रिब व इशा पढ़ो और अगर वक़्त मग़रिब का बाक़ी भी रहे जब भी अभी मग़रिब हरगिज़ न पढ़ो न अ़रफ़ात में पढ़ो न राह में कि इस दिन यहाँ नमाज़े मग़रिब वक़्ते मग़रिब में पढ़ना गुनाह है और अगर पढ़ लोगे तो इशा के वक़्त फिर पढ़नी होगी ग़रज़ यहाँ पहुँच कर मग़रिब वक़्ते इशा में अदा की नीयत से पढ़ो न कि क़ज़ा की नीयत से जहाँ तक हो सके इमाम के साथ पढ़ो मग़रिब का सलाम फेरते ही फ़ौरन इशा की जमाअ़त होगी इशा के फ़र्ज़ पढ़ लो उसके बाद मग़रिब व इशा की सुन्नतें और वित्र पढ़ो और अगर इमाम के साथ जमाअ़त न मिल सके तो अपनी जमाअ़त कर लो और अपनी जमाअ़त भी न हो सके तो तन्हा पढ़ो।

मसअ्ला :– अगर मुज़दलेफ़ा के आने वाले ने मग़रिब की नमाज़ रास्ते में पढ़ी या मुज़दलेफ़ा पहुँच कर इशा का वक़्त आने से पहले पढ़ ली तो उसे हुक्म यह है कि इआ़दा करे। (दुबारा पढ़े) मगर न किया और फ़ज्र की नमाज़ का वक़्त हो गया तो वह नमाज़ अब सही हो गई। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर मुज़दलेफ़ा में मग़रिब से पहले इशा पढ़ी तो मग़रिब पढ़ कर इशा को दोबारा पढ़े और अगर तुलूए फ़ज्र (सुबहे सादिक़) तक इआ़दा न किया तो अब सही हो गई चाहे वह शख़्स साहिबे तर्तीब हो या न हो। (दुर्रे मुख़्तार,तहतावी)

मसअ्ला :– अगर रास्ते में इतनी देर हो गई कि नमाज़े फ़ज्र का वक़्त हो जाने का अन्देशा है तो अब रास्ते ही में दोनों नमाज़ें यअ्नी मग़रिब व इशा पढ़ ले, मुज़दलेफ़ा पहुँचने का इन्तिज़ार न करे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अ़रफ़ात में ज़ुहर व अ़स्र के लिए एक अज़ान और दो इक़ामतें हैं और मुज़दलेफ़ा में मग़रिब व इशा के लिए एक अज़ान और एक इक़ामत। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– दोनो नमाज़ों के दरमियान में सुन्नत व नवाफ़िल न पढ़ें मग़रिब की सुन्नतें भी इशा के बाद पढ़े अगर दरमियान में सुन्नतें पढ़ीं या कोई और काम किया तो एक इक़ामत और कही जाये यअ्नी इशा के लिए। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– तुलूए फ़ज्र (फ़ज्र का वक़्त होने) के बाद मुज़दलेफ़ा में आया तो सुन्नत तर्क हुई मगर दम वग़ैरा उस पर वाजिब नहीं। (आलमगीरी) (7) नमाज़ों के बाद बाक़ी रात ज़िक्र व लब्बैक व दुरूद व दुआ व ज़ारी (रोने)में गुज़ारो कि यह बहुत अफ़ज़ल जगह और बहुत अफ़ज़ल रात है बाज़ उलमा ने इस रात को शबे क़द्र से भी अफ़ज़ल कहा है। ज़िन्दगी है तो सोने को और बहुत रातें मिलेंगी और यहाँ यह रात खुदा जाने दोबारा किसे मिले। और न हो सके तो बा–तहारत (बा–वुज़ू) सो रहो कि फ़ुज़ूल बातों से सोना बेहतर, और इतने पहले उठ बैठो कि सुबहे चमकने से पहले ज़रूरियात व तहारत से फ़ारिग़ हो लो आज **नमाज़े सुबह** बहुत अँधेरे से पढ़ी जायेगी, कोशिश करो कि जमाअ़त से पढ़ो बल्कि पहली तकबीर फ़ौत न हो कि इशा व सुबह जमाअ़त से पढ़ने वाला भी पूरी शब बेदारी (रात भर जाग कर इबादत करने)का सवाब पाता है। (8) अब दरबारे अअ्ज़म की दूसरी हाज़िरी का वक़्त आया हाँ हाँ करम के दरवाज़े खोले गये हैं, कल अ़रफ़ात में हुक़ूक़ुल्लाह माफ़ हुए थे यहाँ हुक़ूक़ुलइबाद माफ़ फ़रमाने का वअ़्दा है।

मुज़दलेफ़ा का वुक़ूफ़ और दुआयें

मशअ़रुलहराम में यअ़्नी ख़ास पहाड़ी पर और जगह न मिले तो उसके दामन में और यह भी न हो सके तो वादीए मुहस्सर (कि इसमें वुक़ूफ़ जाइज़ नहीं) के सिवा जहाँ पाओ वुक़ूफ़ करो और तमाम बातें कि वुक़ूफ़े अ़रफ़ात में ज़िक्र हुईं उनका लिहाज़ रखो यानी लब्बैक की कसरत करो और ज़िक्र व दुरूद व दुआ में मशग़ूल रहो। यहाँ के लिए बाज़ दुआयें यह हैं :–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ خَطِیْئَتِیْ وَ جَهْلِیْ وَ اِسْرَافِیْ فِیْ اَمْرِیْ وَ مَآ اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّیْ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ جِدِّیْ وَ هَزْلِیْ وَ خَطَآئِیْ وَ عَمْدِیْ وَ کُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِیْ. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَ الْکُفْرِ وَ الْعَجْزِ وَ الْکَسْلِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَ الْحُزْنِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَ الْبُخْلِ وَ ضَلْعِ الدَّیْنِ وَ غَلَبَةِ الرِّجَالِ. وَ اَسْاَلُكَ اَنْ تَقْضِیَ عَنِّی الْمَغْرِمِ وَ اَنْ تَعْفُوَ عَنِّیْ مَظَالِمَ الْعِبَادِ. وَاَنْ تُرْضِیَ عَنِّی الْخُصُوْمَ وَ الْغُرَمَآءَ وَ اَصْحٰبَ الْحُقُوْقِ. اَللّٰهُمَّ اَعْطِ نَفْسِیْ تَقْوٰهَا وَ زَکِّهَآ اَنْتَ خَیْرُ مَنْ زَکّٰهَآ اَنْتَ وَلِیُّهَا وَ مَوْلٰهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّیْنِ وَ مِنْ غَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَمِنْ بَوَارِالْاَیْمِ وَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِیْحِ الدَّجَّالِ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ مِنَ الَّذِیْنَ اِذَا اَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوْا وَ اِذَا اَسَآؤُ اسْتَغْفَرُوْا. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِیْنَ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِیْنَ الْوَفْدِ الْمُتَقَبَّلِیْنَ. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ فِیْ هٰذَا الْجَمْعِ اَنْ تَجْمَعَ لِیْ جَوَامِعَ الْخَیْرِ کُلِّهٖ وَ اَنْ تُصْلِحَ لِیْ شَانِیْ کُلَّهٗ وَ اَنْ تَصْرِفَ عَنِّی السُّوْٓءَ کُلَّهٗ فَاِنَّهٗ لَا یَفْعَلُ ذٰلِكَ غَیْرُكَ وَلَا یَجُوْدُ بِهٖ اِلَّا اَنْتَ. اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَنْ یَّمْشِیْ عَلٰی بَطْنِهٖ وَ مِنْ شَرِّ مَنْ یَّمْشِیْ عَلٰی رِجْلَیْنِ وَ مِنْ شَرِّ مَنْ یَّمْشِیْ عَلٰی اَرْبَعٍ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ اَخْشٰكَ کَاَنِّیْ اَرَاكَ اَبَدًا حَتّٰی اَلْقٰكَ وَ اَسْعِدْ نِیْ بِتَقْوٰكَ وَ لَا تَشْقِنِیْ بِمَعْصِیَّتِكَ وَ خِرْلِیْ مِنْ قَضَآئِكَ وَ بَارِكْ لِیْ فِیْ قَدْرِكَ حَتّٰی لَآ اُحِبَّ تَعْجِیْلَ مَا اَخَّرْتَ وَلَا تَاخِیْرَ مَا عَجَّلْتَ وَاجْعَلْ غِنَایَ فِیْ نَفْسِیْ وَ مَتِّعْنِیْ بِسَمْعِیْ وَ بَصَرِیْ وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّیْ وَانْصُرْنِیْ عَلٰی مَنْ ظَلَمَنِیْ وَ اَرِنِیْ فِیْهِ ثَارِیْ وَ اَقِرَّ بِذٰلِكَ عَیْنِیْ

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह! मेरी ख़ता और जहल और ज़्यादती और जिसको तू मुझसे ज़्यादा जानता है सबको बख़्श दे। ऐ अल्लाह! मेरे तमाम गुनाह माफ कर दे कोशिश से जिसको मैंने किया या बिला कोशिश और ख़ता से किया या कस्द से और वह सब ग़लतियाँ जो मैंने कीं। ऐ अल्लाह तेरी पनाह माँगता हूँ मोहताजी और कुफ्र और आजिज़ी और सुस्ती से और तेरी पनाह रंज व मलाल से और तेरी पनाह बुज़दिली और बुख्ल और दैन(कर्ज़)की गिरानी और मर्दों के ग़लबा से और सवाल करता हूँ कि मुझसे तावान अदा कर दे और हुक़ूक़ुलइबाद मुझसे माफ कर और ख़ुसूम (मुख़ालफ़ीन) व ग़ुरमा(कर्ज़ख़्वाहों) और हक़दारों को राज़ी कर दे। ऐ अल्लाह! मेरे नफ़्स को तक़वा दे और उसको पाक कर, तू बेहतर पाक करने वाला है तू उसका वली और मौला है। ऐ अल्लाह! तेरी पनाह कर्ज़ के ग़लबा और दुश्मन के ग़लबा से और उस हलाकत से जो मलामत में डालने वाली है और मसीह दज्जाल के फ़ितने से। ऐ अल्लाह! मुझे उन लोगों में कर जो नेकी कर के ख़ुश होते हैं और बुराई करके इस्तिग़फ़ार करते हैं। ऐ अल्लाह हमको अपने नेक बन्दों में कर जिनकी पेशानियाँ और हाथ पाँव चमकते हैं जो मकबूले वफ़्द हैं। ऐ अल्लाह! इस मुज़दलेफ़ा में मेरे लिए हर ख़ैर को जमा कर दे और मेरी हर हालत को दुरुस्त कर दे और हर बुराई को मुझ से फेर दे कि तेरे सिवा कोई नहीं कर सकता और तेरे सिवा कोई नहीं दे सकता। ऐ अल्लाह! तेरी पनाह उसके शर से जो पेट पर चलता है और दो पाँवों और चार पाँवों पर चलने वाले के शर से। ऐ अल्लाह! तू मुझको ऐसा कर दे कि हमेशा तुझसे डरता रहूँ गोया जैसे तुझको देखता हूँ यहाँ तक कि तुझसे मिलूँ और तक़वा के साथ मुझको बहरामन्द (नसीबे वाला)कर और गुनाह करके बदबख़्त न बनूँ और अपनी क़ज़ा (फ़ैसला)मेरे लिए बेहतर कर और जो तूने मुक़द्दर किया है उसमें बरकत दे यहाँ तक कि जो तूने मुअख़्ख़र किया है उसकी जल्दी को पसन्द न करूँ और जो तूने जल्द कर दिया उसकी ताख़ीर को दोस्त न रखूँ और मेरी तवंगरी मेरे नफ़्स में कर और कान आँख से मुझको मुतमत्तेअ़ (फ़ाएदा हासिल करने वाला)कर और उनको मेरा वारिस कर और जो मुझ पर ज़ुल्म करें उन पर मुझे फ़तहमन्द कर और उस में मेरा बदला दिखा दे और उससे मेरी आँख ठन्डी कर"।

मसअ्ला :– वुकूफ़े मुज़दलेफ़ा का वक़्त नमाज़े फ़ज्र का वक़्त शुरू होने से उजाला होने तक है यअ्नी सूरज निकलने से पहले तक है इस दरमियान में वुकूफ़ न किया तो फ़ौत हो गया और अगर इस वक़्त में यहाँ से हो कर गुज़र गया तो वुकूफ़ हो गया और वुकूफ़े अरफ़ात में जो बातें थीं वह यहाँ भी हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– तुलूए फज्र यअ्नी सुबहे सादिक से पहले जो यहाँ से चला गया उस पर दम वाजिब है मगर जब बीमार हो या औरत कमज़ोर कि भीड़ में ज़रर (तकलीफ़) का अन्देशा है इस वजह से पहले चला गया तो उस पर कुछ नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– नमाज़े फ़ज्र से क़ब्ल मगर तुलूए फज्र के बाद यहाँ से चला गया या तुलूए आफ़ताब के बअ्द गया तो बुरा किया मगर उस पर दम वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

मिना के अअ्माल और हज के बक़िया अफ़आल

अल्लाह तआला फ़रमाता है :–

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ؕ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى

الدُّنْيَا وَمَالَهُ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۝ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ط وَ اللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝ وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ط فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقٰى وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝

तर्जमा :— " फिर जब हज के काम पूरे कर चुको तो अल्लाह का ज़िक्र करो जैसे अपने बाप दादा का ज़िक्र करते थे बल्कि उससे ज़्यादा और बअ्ज़ आदमी यूँ कहते हैं कि ऐ रब हमारे हमें दुनिया में दे और आख़िरत में उसके लिए कुछ हिस्सा नहीं और बअ्ज़ कहते हैं कि ऐ रब हमारे हमें दुनिया में भलाई दे और और आख़िरत में भलाई दे और हम को दोज़ख़ के अज़ाब से बचा यही लोग वह हैं कि उनकी कमाई से उनका हिस्सा है और अल्लाह जल्द हिसाब करने वाला है और अल्लाह की याद करो गिने हुए दिनों में तो जल्दी कर के दो दिन में चला जाये उस पर कुछ गुनाह नहीं और जो रह जाये तो उस पर कुछ गुनाह नहीं परहेज़गार के लिए और अल्लाह से डरो और जान लो कि तुम को उसी की तरफ़ उठना है"।

हदीस न.1 :— सहीह मुस्लिम शरीफ़ में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुज़दलेफ़ा से रवाना हुए यहाँ तक कि बत़ने मुहस्सर में पहुँचे और यहाँ जानवरों को तेज़ कर दिया फिर वहाँ से बीच वाले रास्ते से चले जो जमरए कुबरा को गया है जब उस जमरा के पास पहुँचे तो उस पर सात कंकरियाँ मारीं हर कंकरी पर तकबीर कहते और बत़ने वादी से रमी की फिर मनहर (कुर्बानी की जगह)में आकर तिरेसठ (63) ऊँट अपने दस्ते मुबारक से नहर फरमाये यअ्नी एक ख़ास तरीक़ा से कुर्बानी की फिर अली रदियल्लाहु तआला अन्हु को दे दिया बक़िया को उन्होंने नहर किया और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी कुर्बानी में उन्हें शरीक कर लिया फिर हुक्म फ़रमाया कि हर ऊँट में से एक–एक टुकड़ा हाँडी में डाल कर पकाया जाये दोनों साहिबों ने उस गोश्त में से खाया और शोरबा पिया फिर रसूलुल्लाह सल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सवार होकर बैतुल्ला (कअ्बा शरीफ़)की तरफ़ रवाना हुए और जुहर की नमाज़ मक्का में पढ़ी।

हदीस न.2 :— तिर्मिज़ी शरीफ़ में उन्हीं से मरवी है कि रसूलुल्ला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुज़दलेफ़ा से सुकून के साथ रवाना हुए और लोगों को हुक्म फ़रमाया कि इत्मीनान के साथ चलें और वादीए मुहस्सर में सवारी को तेज़ कर दिया और लोगों से फरमाया कि छोटी–छोटी कंकरियों से रमी करें और यह फरमाया कि शायद इस साल के बअ्द अब मैं तुम्हें न देखूँगा।

हदीस न.3 :— सहीहैन में उन्हीं से मरवी है कि रसूलुल्लाहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यौमे नहर (ज़िलहिज्जा की दसवीं तारीख़) में चाश्त के वक़्त रमी की (कंकरी मारी) और उसके बाद के दिनों में आफ़ताब ढलने के बअ्द।

हदीस न.4 :— सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में है कि अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु जमरए कुबरा के पास पहुँचे तो कअ्बए मुअज़्ज़मा को बाईं जानिब किया और मिना को दहनी तरफ़ और सात कंकरियाँ मारीं हर कंकरी पर तकबीर कही फिर फ़रमाया इसी तरह उन्होंने रमी की जिन

पर सूरए बक़र नाज़िल हुई (यअ्नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने)

हदीस न.5 :– इमाम मालिक नाफ़ेअ् से रावी हैं कि अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रद़ियल्लाहु तआला अ़न्हुमा दोनों पहले जमरों के पास देर तक ठहरते तकबीर व तस्बीह व हम्द व दुआ करते और जमरए अ़क़बा के पास न ठहरते।

हदीस न.6 :– त़बरानी इब्ने उ़मर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह स़ल्ललाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से सवाल किया कि रमीए जिमार में क्या सवाब है ? इरशाद फ़रमाया तू अपने रब के नज़्दीक इसका सवाब उस वक़्त पायेगा कि तुझे उसकी ज़्यादा ह़ाजत होगी।

हदीस न.7 :– इब्ने ख़ुज़ैमा व ह़ाकिम इब्ने अ़ब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अ़लैहिस्सलाम मनासिक (हज के अरकान अदा करने की जगह) में आये जमरए अ़क़बा के पास शैत़ान सामने आया उसे सात कंकरियाँ मारीं यहाँ तक कि ज़मीन में धँस गया फिर दूसरे जमरा के पास आया फिर उसे सात कंकरियाँ यहाँ तक कि ज़मीन में धँस गया फिर तीसरे जमरा के पास आया तो उसे सात कंकरियाँ मारीं यहाँ तक कि ज़मीन में धँस गया इब्ने अ़ब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा फ़रमाते हैं कि तुम शैत़ान को रज्म (पत्थर मारना)करते और ह़ज़रते इब्राहीम के दीन का इत्तिबाअ् करते हो।

हदीस न.8 :– बज़्ज़ार उन्हीं से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जमरों की रमी करना तेरे लिए क़ियामत के दिन नूर होगा।

हदीस न.9 :– त़बरानी व ह़ाकिम अबू सईद ख़ुदरी रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कहते हैं हमने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह! यह जमरो पर जो कंकरियाँ हर साल मारी जाती हैं हमारा गुमान है कि कम हो जाती हैं फ़रमाया जो क़बूल होती हैं उठा ली जाती हैं ऐसा न होता तो पहाड़ों की मिस्ल तुम देखते।

हदीस न.10से12 :– सह़ीह़ मुस्लिम में उम्मुलह़सीन रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह स़ल्ललाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने ह़ज्जतुलवदअ् में सर मुंडाने वालों के लिए तीन बार दुआ़ की और कतरवाने वालों के लिए एक बार। इसी की मिस्ल अबूहुरैरा व मालिक इब्ने रबीआ़ रद़ियल्ल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी है।

हदीस न.13 :– इब्ने उ़मर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बाल मुंडवाने में हर बाल के बदले एक नेकी है और एक गुनाह मिटाया जात है।

हदीस न.14 :– उ़बादा इब्ने स़ामित रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि सर मुँडाने से जो बाल ज़मीन पर गिरेगा वह तेरे लिए क़ियामत के दिन नूर होगा।

(1) **जब तुलूए आफ़ताब** (सूरज निकलने) में दो रकअ़त पढ़ने का वक़्त बाक़ी रह जाये इमाम के साथ मिना को चलो और यहाँ से सात छोटी छोटी कंकरियाँ खजूर की गुठली बराबर की पाक जगह से उठा कर तीन बार धो लो किसी पत्थर को तोड़ कर कंकरियाँ न बनाओ और यह भी हो सकता है कि तीनों दिन जमरों पर मारने के लिए यहीं से कंकरियाँ ले लो या सब किसी और जगह से लो मगर न नजिस (नापाक) जगह की हों न मस्जिद की न जमरा के पास की।(2)रास्ते में फिर

ब–दस्तूर ज़िक्र करो दुआ व दुरूद व कसरत से लब्बैक में मशगूल रहो यह दुआ पढ़ो

اَللّٰھُمَّ اِلَیْکَ اَفَضْتُ وَ مِنْ عَذَابِکَ اَشْفَقْتُ وَ اِلَیْکَ رَجَعْتُ وَ مِنْکَ رَھِبْتُ فَاقْبَلْ نُسُکِیْ وَ عَظِّمْ اَجْرِیْ وَ ارْحَمْ تَضَرُّعِیْ وَاقْبَلْ تَوْبَتِیْ وَ اسْتَجِبْ دُعَآئِیْ ۔

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह! मैं तेरी तरफ़ वापस हुआ और तेरे अज़ाब से डरा और तेरी तरफ़ रुजूअ़ किया और तुझ से ख़ौफ़ किया तू मेरी इबादत क़बूल कर और मेरा अज्र ज़्यादा कर और मेरी आ़जिज़ी पर रहम कर और मेरी तौबा क़बूल कर और मेरी दुआ मुस्तजाब कर"।

(3) जब वादीए मुहस्सर पहुँचो (यह वादी मिना व मुज़दलेफ़ा के बीच में एक नाला है दोनों की हदों से ख़ारिज मुज़दलेफ़ा से मिना को जाते हुए बायें हाथ को जो पहाड़ पड़ता है उसकी चोटी से शुरूअ़ होकर 545 हाथ तक है) यहाँ असहाबे फ़ील आकर ठहरे और उन पर अबाबील का अ़ज़ाब उतरा था लिहाज़ा इस जगह से जल्द गुज़रना और अ़ज़ाबे इलाही से पनाह माँगना चाहिए 545 हाथ बहुत जल्द तेज़ी के साथ चल कर निकल जाओ मगर ऐसी तेज़ी के साथ नहीं जिस से किसी को तकलीफ़ हो और इस दरमियान में यह दुआ पढ़ते जाओ:

اَللّٰھُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِکَ وَ لَا تُھْلِکْنَا بِعَذَابِکَ وَ عَافِنَا قَبْلَ ذَالِکَ ۔

तर्जमा :– "ऐ अल्लाह! अपने ग़ज़ब से हमें क़त्ल न कर और अपने अ़ज़ाब से हमें हलाक न कर और इस से पहले हम को आ़फ़ियत दे"

(4) जब मिना नज़र आये वही दुआ पढ़ो जो मक्का से आते मिना को देख कर पढ़ी थी।

जमरतुल अ़क़बा की रमी:– (5)जब मिना पहुँचो सब कामों से पहले जमरतुल अ़क़बा को जाओ जो इधर से पिछला जमरा है और मक्कए मुअ़ज़्ज़मा से पहला जमरा है,दोमन्ज़िला सड़क के ऊपर या नीचे जमरा से कम से कम पाँच हाथ हटे हुए यूँ खड़े हो कि मिना दहने हाथ पर और कअ़बा बायें हाथ को और जमरा की तरफ़ मुँह हो सात कंकरियाँ अलग–अलग हों हर एक पर

بِسْمِ اللّٰہِ اَللّٰہُ اَکْبَرُ. رَغْمًا لِّلشَّیْطَانِ رِضًا لِّلرَّحْمٰنِ ۔

اَللّٰھُمَّ اجْعَلْہُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّ سَعْیًا مَّشْکُوْرًا وَّ ذَنْبًا مَّغْفُوْرًا ۔

तर्जमा :– " अल्लाह के नाम से अल्लाह बहुत बड़ा है शैतान के ज़लील करने के लिए अल्लाह की रज़ा के लिए ऐ अल्लाह! इसको हज्जे मबरूर कर और सई मशकूर कर और गुनाह बख़्श दे") कह कर मारो, या सिर्फ़ बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कह कर मारो बेहतर यह है कि कंकरियाँ जमरा तक पहुँचें वरना तीन हाथ के फ़ासिले तक गिरें इस से ज़्यादा फ़ासिले पर गिरीं तो वह कंकरी शुमार में न आयेगी पहली कंकरी से लब्बैक मौक़ूफ़ कर दो यअ़नी छोड़ दो अल्लाहु अकबर के बदल . سُبْحٰنَ اللّٰہِ या لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ कहा जब भी हरज नहीं।

(6) जब सात पूरी हो जायें वहाँ न ठहरो फ़ौरन ज़िक्र व दुआ करते पलट आओ।

रमी के मसाइल

मसअ्ला :– सात से कम जाइज़ नहीं अगर सिर्फ़ तीन मारीं या बिल्कुल नहीं तो दम लाज़िम होगा और अगर चार मारीं तो बाकी हर कंकरी के बदले सदका दे। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– कंकरी मारने में पय दर पय होना शर्त नहीं मगर वक्फ़ा ख़िलाफ़े सुन्नत है मसलन

एक कंकरी मार कर रुक गया फिर कुछ देर बाद दूसरी या तीसरी मारी। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– सब कंकरियाँ एक साथ फेंकी तो यह सातों एक के क़ाइम मक़ाम(जगह) हुईं।(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– कंकरियाँ ज़मीन की जिन्स (क़िस्म) से हों और ऐसी चीज़ की जिस से तयम्मुम जाइज़ है कंकर, पत्थर, मिट्टी यहाँ तक कि अगर ख़ाक फेंकी जब भी रमी हो गई मगर एक कंकरी फेंकने के क़ाइम मक़ाम हुई। मोती, अम्बर, मुश्क, वग़ैरा से रमी जाइज़ नहीं यूहीं जवाहिर और सोने चाँदी से भी रमी नहीं हो सकती कि यह तो निछावर हुई, मारना न हुआ। मिंगनी से भी रमी जाइज़ नहीं।

मसअ्ला :– जमरा के पास से कंकरियाँ उठाना मकरूह है कि वहाँ वही कंकरियाँ रहती हैं जो मक़बूल नहीं होतीं और मरदूद हो जाती हैं और जो मक़बूल हो जाती हैं उठा ली जाती हैं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर मअ्लूम हो कि कंकरियाँ नजिस (नापाक) हैं तो उनसे रमी करना मकरूह है और मअ्लूम न हो तो नहीं मगर धो लेना मुस्तहब है।(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– इस रमी का वक़्त आज की फ़ज्र (सुब्हे सादिक़) से ग्यारहवीं की फ़ज्र तक है मगर मसनून (सुन्नत) यह है कि तुलुए आफ़ताब से ज़वाल तक हो और ज़वाल से गुरूब तक मुबाह और गुरूब से फ़ज्र तक मकरूह यूहीं दसवीं की नमाज़े फ़ज्र का वक़्त शुरूअ् होने से तुलुए आफ़ताब तक मकरूह और अगर किसी उ़ज़्र के सबब हो मसलन चरवाहों ने रात में रमी की तो कराहत नहीं।

हज की क़ुर्बानी

(7) अब रमी से फ़ारिग़ होकर क़ुर्बानी में मशग़ूल हो यह क़ुर्बानी वह नहीं जो बक़रईद में हुआ करती है कि वह तो मुसाफ़िर पर बिल्कुल नहीं और मुक़ीम मालदार पर वाजिब है अगर्चे हज में हो बल्कि यह हज का शुक्राना है क़ारिन और मुतमत्तेअ् पर वाजिब अगर्चे फ़क़ीर हो और मुफ़रिद के लिए मुस्तहब अगर्चे ग़नी हो, जानवर की उ़म्र व आज़ा में वही शर्तें हैं जो ईद की क़ुर्बानी में हैं।

मसअ्ला :– मोहताजे महज़ यअ्नी जिसकी मिल्क में न क़ुर्बानी के लाइक़ कोई जानवर हो न उसके पास इतना नक़्द या असबाब कि उसे बेच कर ले सके वह अगर क़िरान या तमत्तोअ् की नियत कर लेगा तो उस पर क़ुर्बानी के बदले दस रोज़े वाजिब होंगे, तीन तो हज के महीनों में यअ्नी पहली शव्वाल् से नवीं ज़िलहिज्जा तक एहराम बाँधने के बाद, इस बीच में जब चाहे रख ले एक साथ, चाहे जुदा–जुदा और बेहतर यह है कि 7, 8, 9, को रखे और बाक़ी सात तेरहवीं ज़िलहिज्जा के बअ्द जब चाहे रखे और बेहतर यह है कि यह सात रोज़े घर पहुँच कर हों।

(8) ज़िबह करना आता हो तो ख़ुद ज़िबह करे कि सुन्नत है वरना ज़िबह के वक़्त हाज़िर रहे।

(9) जानवर को क़िब्ला की जानिब लिटा कर और ख़ुद भी क़िब्ला को मुँह कर के यह पढ़ो–

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ. اِنَّ صَلَاتِیْ وَ نُسُكِیْ وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ. لَا شَرِیْكَ لَهٗ وَ بِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ.

तर्जमा :– मैंने अपनी ज़ात को उसकी तरफ़ मुतवज्जेह किया जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। मैं बातिल से हक़ की तरफ़ माइल हूँ और मैं मुशरिकों से नहीं बेशक मेरी नमाज़ व क़ुर्बानी और मेरा जीना और मरना अल्लाह के लिए है जो तमाम जहान का रब है उसक कोई शरीक नहीं और मुझे उसी का हुक्म हुआ और मैं मुसलमानों में हूँ।

इस के बअ्द بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ कहते हुए निहायत तेज़ छुरी से बहुत जल्द ज़िबह कर दो कि चारों रगें कट जायें ज़्यादा हाथ न बढ़ाओ कि बेवजह की तकलीफ़ है। (10) बेहतर यह है कि ज़िबह के वक़्त जानवर के दोनों हाथ एक पाँव बाँध लो ज़िबह कर के खोल दो। (11) ऊँट हो तो उसे खड़ा करके सीना में गले की इन्तिहा पर तकबीर कह कर नेज़ा मारो कि सुन्नत यूहीं है इसे नहर कहते हैं और ऊँट का ज़िबह करना मकरूह मगर हलाल ज़िबह से भी हो जायेगा अगर ज़िबह करे तो गले पर एक ही जगह उसे भी ज़िबह करे जाहिलों में जो मशहूर है कि ऊँट तीन जगह ज़िबह होता है ग़लत व सुन्नत के ख़िलाफ़ है और मुफ़्त की अज़ीय्यत (तकलीफ़) व मकरूह है। (12) जानवर जो ज़िबह किया जाये जब तक सर्द (ठन्डा) न हो ले उसकी खाल न खींचो न अअ्ज़ा काटो कि ईज़ा है। (13) यह कुर्बानी करके अपने और तमाम मुसलमानों के हज व कुर्बानी क़बूल होने की दुआ माँगो।

हल्क व तक़सीर (बाल मुँडाना व क़तरवाना)

(14) कुर्बानी के बअ्द क़िब्ला मुँह बैठ कर मर्द हल्क़ करें यअ्नी तमाम सर मुंडायें कि अफ़ज़ल है या बाल कतरवायें कि रुख़्सत (छूट) है। औरतों को बाल मुंडाना हराम है एक पोरा बराबर बाल कतरवा दें बल्कि ख़ुद अपने बाल एक पोरा बराबर काट दें। मुफ़रिद अगर कुर्बानी करे तो उसके लिए मुस्तहब यह है कि कुर्बानी की जब भी हरज नहीं और तमत्तोअ् व क़िरान वाले पर कुर्बानी के बअ्द हल्क़ करना वाजिब है यअ्नी अगर कुर्बानी से पहले सर मुंडायेगा तो दम वाजिब होगा।

मसअ्ला :– बाल कतरवायें तो सर में जितने बाल हैं। उनमें के चौथाई बालों में से क़तरवाना ज़रूरी है यअ्नी सर के हर–हर बाल से चौथाई हिस्सा बाल कटवाना ज़रूरी है लिहाज़ा एक पोरे से ज़्यादा कतरवायें कि बाल छोटे बड़े होते हैं मुमकिन है कि चौथाई बालों में सब एक–एक पोरा न कटें।

मसअ्ला :– सर मुंडाने या बाल कतरवाने का वक़्त अय्यामे नहर है यअ्नी 10,11,12, और अफ़ज़ल पहला दिन यअ्नी दसवीं ज़िलहिज्जा। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जब एहराम से बाहर होने का वक़्त आ गया तो अब मुहरिम अपना या दूसरे का सर मूंड सकता है अगर्चे यह दूसरा भी मुहरिम हो। (मुनसक)

मसअ्ला :– जिस के सर पर बाल न हों उसे उस्तरा फिरवाना वाजिब है और अगर बाल हैं मगर सर में फुड़ियाँ है जिन की वजह से मुँडा नहीं सकता और बाल इतने बड़े भी नहीं कि कतरवाये तो इस उज़्र के सबब उस से मुंडाना और कतरवाना साकित हो गया यअ्नी मआफ़ हो गया उसे भी मुंडाने वालों और कतरवाने वालों की तरह सब चीज़ें हलाल हो गई मगर बेहतर यह है कि अय्यामे नहर के ख़त्म होने तक ब–दस्तूर रहे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर वहाँ से किसी गाँव वग़ैरा में ऐसी जगह चला गया कि न हज्जाम (नाई) मिलता है न उस्तरा या कैंची पास है कि मुंडाले या कतरवाले तो यह कोई उज़्र नहीं मुंडाना या कतरवाना ज़रूरी है।(आलमगीरी) और यह भी ज़रूरी है कि हरम से बाहर मुंडाना या कतरवाना न हो बल्कि हरम के अन्दर हो कि इस के लिए यह जगह मख़सूस है, हरम से बाहर करेगा तो दम ज़रूरी होगा। (मुनसक)

मसअ्ला :– इस मौक़े पर सर मुंडाने के बअ्द मूंछे तरशवाना नाफ़ के नीचे के बाल दूर करना

मुस्तहब है और दाढ़ी के बाल न ले और लिये तो दम वग़ैरा वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– अगर न मुंडाये न कतरवाये तो कोई चीज़ जो एहराम में हराम थी हलाल न हुई अगर्चे तवाफ़ भी कर चुका हो। (आलमगीरी)

मसअला :– अगर बारहवीं तारीख़ तक हल्क़ व क़स्र (बाल मुँडाना व कतरवाना) न किया तो दम लाज़िम आयेगा कि इसके लिए यह वक़्त मुक़र्रर है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– (15) हल्क़ या तक़सीर दाहिनी तरफ़ से शुरूअ़ करो यअ़नी मुंडाने वाले की दाहिनी जानिब यही हदीस से साबित और इमाम अअ़ज़म ने भी ऐसा ही किया (लिहाज़ा बअ़ज़ किताबों में जो हज्जाम की दाहिनी जानिब से शुरूअ़ करने को बताया सही नहीं) और उस वक़्त اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ कहते जाओ और फ़ारिग़ होने के बअ़द भी कहो और हल्क़ और तक़सीर के वक़्त यह दुआ पढ़ो यअ़नी सर मुंडाने या बाल कतरवाने से पहले यह दुआ पढ़ो फिर सर मुंडाना या बाल करतवाना अपनी दाहिनी तरफ़ से शुरूअ़ कराओ :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا هَدَانَا وَ اَنْعَمَ عَلَيْنَا وَ قَضٰى عَنَّا نُسُكَنَا . اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ نَاصِيَتِىْ بِيَدِكَ فَاجْعَلْ لِّىْ بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوْرًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ وَ امْحُ عَنِّىْ سَيِّئَةً وَّ ارْفَعْ لِىْ بِهَا دَرَجَةً فِى الْجَنَّةِ الْعَالِيَةِ . اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِىْ فِىْ نَفْسِىْ وَ تَقَبَّلْ مِنِّىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَ لِلْمُحَلِّقِيْنَ وَ الْمُقَصِّرِيْنَ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اٰمِيْنَ .

तर्जमा :– " हम्द है अल्लाह के लिए इस पर कि उसने हमें हिदायत की और इनआम किया और हमारी इबादत पूरी करा दी। ऐ अल्लाह! यह मेरी चोटी तेरे हाथ में है मेरे लिए हर बाल के बदले में कियामत के दिन नूर और उसकी वजह से मेरा गुनाह मिटा दे और जन्नत में दर्जा बलन्द कर इलाही मेरे लिए नफ़्स में बरकत कर और मुझसे क़बूल कर। ऐ अल्लाह मुझको और सर मुंडाने वालों और बाल करतवाने वालों को बख़्श दे, ऐ बड़ी मग़फ़िरत वाले! आमीन"।

और सब मुसलमानों की बख़्शिश की दुआ करो।

मसअला :– अगर मुंडाने या करतवाने के सिवा किसी और तरह से बाल दूर करें मसलन चूना हड़ताल (एक दवा) वग़ैरा से जब भी जाइज़ है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– (16) बाल दफ़न कर दें और हमेशा बदन से जो चीज़ बाल नाख़ुन खाल जुदा हो दफ़न कर दिया करें। (17) यहाँ हल्क़ या तक़सीर से पहले नाख़ुन न कतरवाओ न ख़त बनवाओ वरना दम लाज़िम आयेगा।

(18) अब औरत से सोहबत करने, शहवत से उसे हाथ लगाने बोसा लेने, शर्मगाह देखने के सिवा जो कुछ एहराम ने हराम किया था सब हलाल हो गया।

तवाफ़े फ़र्ज़

(19) अफ़ज़ल यह है कि आज दसवीं ही तारीख़ फ़र्ज़ तवाफ़ के लिए जिसे तवाफ़े ज़्यारत व तवाफ़े इफ़ाज़ा कहते हैं मक्कए मुअ़ज़्ज़मा में जाओ और ज़िक्र किये गये तरीक़े के मुताबिक़ पैदल बा–वुज़ू और सत्र ढक कर तवाफ़ करो मगर इस तवाफ़े इफ़ाज़ा में इज़्तिबाअ़ नहीं (दाहिना मूँढा खुला रखना नहीं)

मसअला :– यह तवाफ़ हज का दूसरा रुक्न है इसके सात फेरे किये जायेंगे जिनमें चार फेरे फ़र्ज़ हैं कि बग़ैर उनके तवाफ़ होगा ही नहीं। और न हज होगा और पूरे सात करना वाजिब तो अगर

चार फेरों के बअ्द जिमा किया तो हज हो गया मगर दम वाजिब होगा कि वाजिब तर्क हुआ। (आलमगीरी)
मसअला :– इस तवाफ़ के सही होने के लिए यह शर्त है कि पहले एहराम बाँधा हो और वुकूफ़ कर चुका हो और खुद करे और अगर किसी और ने इसे कन्धे पर उठा कर तवाफ़ किया तो इसका तवाफ़ न हुआ मगर जबकि यह मजबूर हो खुद न कर सकता हो मसलन बेहोश है।(जौहरा, रद्दुलमुहतार)
मसअला :– बेहोश को पीठ पर लाद कर या किसी और चीज़ पर उठा कर तवाफ़ कराया और उसमें अपने तवाफ़ की भी नियत कर ली तो दोनों के तवाफ़ हो गये अगर्चे दोनों के दो किस्म के तवाफ़ हों।

मसअला :– इस तवाफ़ का वक़्त दसवीं की तुलुए फ़ज्र (यानी नमाज़े फ़ज्र का वक़्त शुरूअ् होने)से है इससे क़ब्ल नहीं हो सकता (जौहरा)

मसअला :– इसमें बल्कि मुतलक़ हर तवाफ़ में नीयत शर्त है अगर नीयत न हो तवाफ़ न हुआ मसलन दुश्मन या दरिन्दे से भाग कर फेरे किये तवाफ़ न हुआ ब–ख़िलाफ़े वुकूफ़े अरफ़ा कि वह बग़ैर नीयत भी हो जाता है मगर यह नीयत शर्त नहीं कि यह तवाफ़े ज़्यारत है। (जौहरा)

मसअला :– ईदे अज़हा की नमाज़ वहाँ नहीं पढ़ी जायेगी। (रद्दुल मुहतार)

(20) क़ारिन व मुफ़रिद तवाफ़े क़ुदूम में और मुत्मत्तेअ् हज के एहराम के बअ्द किसी नफ़्ल तवाफ़ में हज के रमल व सई दोनों या सिर्फ़ सई कर चुके हों तो इस तवाफ़ में रमल व सई कुछ न करें और अगर उसमें[1] रमल व सई कुछ न किया हो या सिर्फ़[2] रमल किया हो या जिस[3] तवाफ़ में किये थे वह उमरा था जैसे क़ारिन व मुतमत्तेअ् का या वह[4] तवाफ़ बे–तहारत किया था या शव्वाल[5] से पेश्तर के तवाफ़ में किये थे तो इन पाँचों सूरतों में रमल व सई दोनों इस तवाफ़े फ़र्ज़ में करें।

(21)कमज़ोर और औरतें अगर भीड़ के सबब दसवीं को न जायें तो उसके बाद ग्यारहवीं को अफ़ज़ल है और उस दिन यह बड़ा नफ़ा है कि मताफ़ (तवाफ़ करने की जगह) ख़ाली मिलता है गिनती के 20–30 आदमी होते हैं औरतों को भी पूरे इत्मीनान के साथ हर फेरे में संगे असवद का बोसा मिलता है।

(22) जो ग्यारहवीं को न जाये बारहवीं को कर ले इसके बाद बिला उज्र ताख़ीर गुनाह है जुर्माने में एक क़ुर्बानी करनी होगी हाँ मसलन औरत को हैज़ या निफ़ास आ गया तो हैज या निफ़ास ख़त्म होने के बअ्द तवाफ़ करे मगर हैज़ या निफ़ास से अगर ऐसे वक़्त पाक हुई कि नहा धोकर बारहवीं तारीख़ में आफ़ताब डूबनें से पहले चार फेरे कर सकती है तो करना वाजिब है, न करेगी गुनाहगार होगी। यूँही अगर इतना वक़्त उसे मिला था कि तवाफ़ कर लेती और न किया अब हैज़ या निफ़ास आ गया तो गुनाहगार हुई। (रद्दुल मुहतार)

(23) बहरहाल तवाफ़ के बअ्द दो रकअ्त ब–दस्तूर पढ़ें इस तवाफ़ के बाद औरतें हलाल हो जायेंगी और हज पूरा हो गया कि उसका दूसरा रुक्न यह तवाफ़ था।

मसअला :– अगर यह तवाफ़ न किया तो औरतें हलाल न होंगी अगर्चे बरसें गुज़र जायें।

मसअला :– बे–वुज़ू या जनाबत में तवाफ़ किया तो एहराम से बाहर हो गया यहाँ तक कि उसके बअ्द जिमाअ् करने से हज फ़ासिद न होगा और अगर उल्टा तवाफ़ किया यअ्नी कअ्बा के बाईं जानिब से तो औरतें हलाल हो गईं मगर जब तक मक्का में है इस तवाफ़ का इआदा करे और

अगर नजिस कपड़ा पहन कर तवाफ़ किया तो मकरूह हुआ और इतना सत्रे औरत खुला रहा जिससे नमाज़ न हो तो तवाफ़ हो जायेगा मगर दम लाज़िम है। (आलमगीरी, जौहरा)

(24) दसवीं, ग्यारवहीं, बारहवीं की रातें मिना ही में बसर करना सुन्नत है न मुज़्दलफ़ा में न मक्का में न राह में लिहाज़ा जो शख़्स दस या ग्यारह को तवाफ़ के लिए गया वापस आकर रात मिना ही में गुज़ारे।

मसअ्ला :– अगर अपने आप मिना में रहा और असबाब(सामान) वग़ैरा मक्का को भेज दिया या मक्का ही में छोड़ कर अरफ़ात को गया तो अगर ज़ाए होने का अन्देशा नहीं है तो कराहत है वरना नहीं।(दुर्रे मुख़्तार)

बाक़ी दिनों की रमी

(25) ग्यारहवीं तारीख़ ज़ुहर की नमाज़ के बाद इमाम का ख़ुतबा सुन कर फिर रमी को चलो। इन अय्याम में रमी जमरए ऊला से शुरूअ् करो जो मस्जिदे ख़ैफ़ से क़रीब है इसकी रमी को राहे मक्का की तरफ़ से आकर चढ़ाई पर चढ़ो कि यह जगह ब–निस्बत जमरतुलअ़क़बा के बलन्द है यहाँ क़िब्ला की जानिब मुँह करके सात कंकरियाँ ज़िक्र किये गये तरीक़े के मुताबिक़ मार कर जमरा से कुछ आगे बढ़ जाओ और क़िब्ला की तरफ़ मुँह करके दुआ में यूँ हाथ उठाओ कि हथेलियाँ क़िब्ला को रहें, क़ल्ब की हाज़िरी के साथ ह़म्द व दुरूद व दुआ व इस्तिग़फ़ार में कम से कम बीस आयतें पढ़ने की क़द्र मशग़ूल रहो वरना पौन पारा या सूरए बक़रह की मिक़दार तक। **(26)**फिर **जमरए वुस्ता** पर जाकर ऐसा ही करो। **(27)**फिर **जमरतुलअ़क़बा** पर, मगर यहाँ रमी करके न ठहरो फ़ौरन पलट आओ और पलटते में दुआ करो। **(28)**बिल्कुल इसी तरह **बारहवीं** तारीख़ ज़वाल के बअ़्द तीनों जमरे की रमी करो बाज़ लोग दोपहर से पहले आज रमी करके मक्कए मुअ़ज़्ज़मा को चल देते हैं यह हमारे अस्ल मज़हब के ख़िलाफ़ है और एक ज़ईफ़ रिवायत है तुम इस पर अ़मल न करो।

(29)बारहवीं की रमी करके ग़ुरूबे आफ़ताब से पहले–पहले इख़्तियार है कि मक्कए मुअ़ज़्ज़मा को रवाना हो जाओ मगर ग़ुरूब के बाद चला जाना मअ़्यूब (बुरा)है अब एक दिन और ठहरना और तेरहवीं को ब–दस्तूर दोपहर ढले रमी करके मक्का जाना होगा और यही अफ़ज़ल है मगर आ़म लोग बारहवीं को चले जाते हैं तो एक रात दिन यहाँ और क़ियाम में क़लील जमाअ़(थोड़े लोगों) को दिक़्क़त होगी और अगर तेरहवीं की सुबह यअ़्नी फ़ज्र की नमाज़ का वक़्त हो गया तो अब बग़ैर रमी किये जाना जाइज़ नहीं, जायेगा तो दम वाजिब होगा दसवीं की रमी का वक़्त ऊपर ज़िक्र हुआ ग्यारहवीं, बारहवीं का वक़्त आफ़ताब ढलने यअ़्नी ज़ुहर का वक़्त शुरूअ् होने से सुबह यअ़्नी तेरहवीं के सूरज की पहली किरन चमकने तक है मगर रात में यअ़्नी आफ़ताब डूबने के बअ़्द मकरूह है और तेरहवीं की रमी का वक़्त सुबह यअ़्नी फ़ज्र की नमाज़ का वक़्त शुरूअ् होने से आफ़ताब डूबने तक है मगर सुबह से आफ़ताब ढलने तक मकरूह वक़्त है उसके बअ़्द ग़ुरूबे आफ़ताब तक मसनून(सुन्नत)लिहाज़ा अगर पहली तीन तारीख़ों 10,11,12 की रमी दिन में न की हो तो रात में कर ले फिर अगर बग़ैर उ़ज़्र है तो कराहत है वरना कुछ नहीं और अगर रात में भी न की तो क़ज़ा हो गई अब दूसरे दिन उसकी क़ज़ा दे और उसके ज़िम्मे कफ़्फ़ारा वाजिब और इस क़ज़ा का भी वक़्त तेरहवीं के आफ़ताब डूबने तक है अगर तेरहवीं को आफ़ताब डूब गया और रमी न की तो अब रमी नहीं हो सकती और दम वाजिब। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर बिलकुल रमी न की जब भी एक ही दम वाजिब होगा। (मुनसक)

मसअ्ला :– कंकरियाँ चारों दिन के वास्ते ली थीं यअ्नी सत्तर और बारहवीं की रमी करके मक्का जाना चाहता है तो अगर और को ज़रूरत हो उसे दे दे वरना किसी पाक जगह डाल दे ,जमरों पर बची हुई कंकरियाँ फेंकना मकरूह है और दफ़न करने की भी हाजत नहीं। (मुनसक)

मसअ्ला :– रमी पैदल भी जाइज़ है और सवार होकर भी मगर अफ़ज़ल यह है कि पहले और दूसरे जमरों पर पैदल रमी करे और तीसरे की सवारी पर। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– अगर कंकरी किसी शख़्स की पीठ या किसी और चीज़ पर पड़ी और ठिलगी रह गई तो उसके बदले की दूसरी मारे और अगर गिर पड़ी और वहाँ गिरी जहाँ उसकी जगह है यअ्नी जमरा से तीन हाथ के फ़ासले के अन्दर तो जाइज़ हो गई।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर कंकरी किसी शख़्स पर पड़ी और उस पर से जमरा को लगी तो अगर मालूम हो कि उसके दफ़अ् करने से जमरा पर पहुँची तो उसके बदले की दूसरी कंकरी मारे और मालूम न हो जब भी एहतियात यही है कि दूसरी मारे यूँहीं अगर शक हो कि कंकरी अपनी जगह पर पहुँची या नहीं तो इआदा कर ले यअ्नी दुबारा मारे। (मुनसक)

मसअ्ला :– तरतीब के ख़िलाफ़ रमी की तो बेहतर यह है कि इआदा कर ले और अगर पहले जमरा की रमी न की और दूसरे तीसरे की की तो पहले पर मार कर फिर दूसरे और तीसरे पर मार लेना बेहतर है और अगर तीन–तीन कंकरियाँ मारी हैं तो पहले पर चार और मारे और दूसरे तीसरे पर सात–सात और अगर चार–चार मारी हैं तो हर एक पर तीन–तीन और मारे। और बेहतर यह है कि सिरे से रमी करे और अगर यूँ किया कि एक–एक कंकरी तीनों पर मार आया फिर एक–एक यूहीं सात बार में सात–सात कंकरियाँ पूरी कीं तो पहले जमरा की रमी हो गई और दूसरे पर तीन और मारे और तीसरे पर छः तो रमी पूरी होगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जो शख़्स मरीज़ हो कि जमरा तक सवारी पर भी न जा सकता हो वह दूसरे को हुक्म कर दे कि इसकी तरफ़ से रमी करे और उसको चाहिए कि पहले अपनी तरफ़ से सात कंकरियाँ मारने के बाद मरीज़ की तरफ़ से रमी करे यअ्नी जबकि खुद रमी न कर चुका हो और अगर यूँ किया कि एक कंकरी अपनी तरफ़ से मारी फिर एक मरीज़ की तरफ़ से मारी यूहीं सात बार किया तो मकरूह है और मरीज़ के बग़ैर हुक्म रमी कर दी तो जाइज़ न हुई और अगर मरीज़ में इतनी ताक़त नहीं कि रमी करे तो बेहतर यह है कि उसका साथी उसके हाथ पर कंकरी रख कर रमी कराये यूहीं बेहोश या मजनून या ना–समझ की तरफ़ से उसके साथ वाले रमी कर दें और बेहतर यह कि उनके हाथ पर कंकरी रख कर रमी करायें। (मुनसक)

मसअ्ला :– गिन कर इक्कीस (21) कंकरियाँ ले गया और रमी करने के बाद देखते हैं कि चार बची हैं और यह याद नहीं कि कौन से जमरा पर कमी की तो पहले पर यह चार कंकरियाँ मारे और दोनों पिछलों पर सात–सात मारे और अगर तीन बची हैं तो हर एक पर एक–एक मारे और अगर एक या दो हों जब भी हर जमरा पर एक–एक मारे। (फ़तहुलक़दीर) (30)रमी से पहले हल्क़ यअ्नी सर मुंडाना जाइज़ नहीं।(31)ग्यारहवीं बारहवीं की रमी दोपहर से पहले बिल्कुल सही नहीं।

रमी में बारह चीज़ें मकरूह हैं

(32) रमी में यह चीज़ें मकरूह हैं:– 1.दसवीं की रमी गुरूबे आफ़ताब के बाद करना। 2.तेरहवीं की रमी दोपहर से पहले करना। 3. रमी में बड़ा पत्थर मारना। 4. बड़े पत्थर की तोड़ कर कंकरियाँ बनाना। 5. मस्जिद की कंकरियाँ मारना 6. जमरा के नीचे जो कंकरियाँ पड़ी हैं उठा कर मारना कि यह मरदूद कंकरियाँ हैं जो क़बूल होती हैं वह उठा ली जातीं हैं कि क़ियामत के दिन नेकियों के पल्ले में रखी जायेंगी वरना जमरों के गिर्द पहाड़ हो जाते। 7. नापाक कंकरियाँ मारना। 8. सात से ज़्यादा मारना। 9. रमी के लिये जो जिहत (दिशा)ज़िक्र की गई है उसके ख़िलाफ़ करना। 10. जमरा से पाँच हाथ से कम फ़ासिले पर खड़ा होना, ज़्यादा का मुज़ाइक़ा (हरज) नहीं। 11. जमरों में तरतीब के ख़िलाफ़ करना। 12. मारने के बदले कंकरी जमरा के पास डाल देना।

मक्कए मुअ़ज़्ज़मा को रवानगी

(33) आख़िर दिन यानी बारहवीं या तेरहवीं को जब मिना से रुख़सत होकर मक्कए मुअ़ज़्ज़मा चलो **वादीए मुहस्सब**[1] में कि जन्नतुल मुअ़ल्ला के क़रीब है सवारी से उतर लो या बे उतरे कुछ देर ठहर कर दुआ करो और अफ़ज़ल यह है कि इशा तक नमाज़ें यहीं पढ़ो, एक नींद लेकर मक्कए मुअ़ज़्ज़मा में दाख़िल हो।

(34) अब तेरहवीं के बाद जब तक मक्का में ठहरो अपने और अपने पीर, उस्ताद माँ,बाप ख़ुसूसन हुज़ूर पुरनूर सय्यदे आ़लम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम और उनके असहाब व अहलेबैत व हुज़ूर ग़ौसे अअ़ज़म रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम की तरफ़ से जितने हो सकें उ़मरे करते रहो। तनईम को कि मक्कए मुअ़ज़्ज़मा से शिमाल (उत्तर)यअ़नी मदीना तय्यिबा की तरफ़ तीन मील फ़ासिले पर है जाओ ,वहाँ से उ़मरा का एहराम जिस तरह ऊपर बयान हुआ बाँध कर आओ और तवाफ़ व सई कर चुका और मसलन उसी दिन दूसरा उ़मरा लाया वह सर पर उस्तरा फिरवा ले काफ़ी है यूहीं वह शख़्स जिस के सर पर क़ुदरती बाल न हों।

(35) मक्कए मुअ़ज़्ज़मा में कम से कम एक ख़त्म क़ुर्आन मजीद से महरूम न रहे।

मक़ामाते मुतबर्रका की ज़्यारत

(36) जन्नतुल मुअ़ल्ला हाज़िर होकर उम्मुल मोमिनीन ख़दीजतुल कुबरा व दीगर मदफ़ूनीन की ज़्यारत करे।

(37) हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की पैदाइश की जगह और हज़रते ख़दीजतुल कुबरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा का मकान और हज़रते अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु

1.जन्नतुल मुअ़ल्ला कि मक्का मुअ़ज़्ज़मा का क़ब्रिस्तान है उस के पास एक पहाड़ है और दूसरा पहाड़ उस पहाड़ के सामने मक्का को जाते हुए दाहिने हाथ पर नाले के पेट से जुदा है उन दोनों पहाड़ों के बीच का नाला "वादिए मुहस्सब" है जन्नतुल मुअ़ल्ला मुहस्सब में दाख़िल नहीं आला हज़रत क़ुद्दिसा सिर्रहू।

की पैदाइश की जगह और जबले सौर (एक पहाड़)व ग़ारे हिरा व मस्जिदे जिन्न व मस्जिदे जबले अबी कुबैस वग़ैरहा मकानाते मुतबर्रका की भी ज़्यारत से भी फ़ैज़ हासिल करे। (38)हज़रते अब्दुल मुत्तलिब की क़ब्र की ज़्यारत करें और अबूतालिब की क़ब्र पर न जायें यूँहीं जद्दा में जो लोगों ने हज़रते उम्मुना(हमारी माँ) हव्वा रदियल्लाहु तआला अन्हा का मज़ार कई सौ हाथ का बना रखा है वहाँ भी न जायें कि बेअस्ल है। (39) उलमा की ख़िदमत से बरकत हासिल करो।

कअ्बा मुअ़ज़्ज़मा की दाख़िली

(40) कअ्बए मुअ़ज़्ज़मा की दाख़िली बहुत बड़ी सआदत है अगर जाइज़ तौर पर नसीब हो मुहर्रम में आम दाख़िली होती है मगर सख़्त कशमकश रहती है कमज़ोर मर्द का तो काम ही नहीं न औरतों को ऐसे हुजूम में बेशर्मी के साथ जाने की इजाज़त है,ज़बरदस्त मर्द अगर ख़ुद ईज़ा से बच भी गया तो औरों को धक्के देकर ईज़ा देगा और यह जाइज़ नहीं, न ही इस तरह की हाज़िरी में कुछ ज़ौक़ (मज़ा)मिले और ख़ास दाख़िली बे लेन–देन मयस्सर नहीं और इस पर लेना भी हराम देना भी हराम, हराम के ज़रिए एक मुस्तहब मिला भी तो वह भी हराम हो गया। इस मफ़ासिद (बेकार कामों) से नजात न मिले तो हतीम की हाज़िरी ग़नीमत (काफ़ी),जाने ऊपर गुज़रा कि वह भी कअ्बा ही की ज़मीन है और अगर शायद बन पड़े यूँ कि ख़ुद्दामे कअ्बा से साफ़ ठहर जाये कि दाख़िली के इवज़ कुछ न देंगे इसके बाद या क़ब्ल चाहे हज़ारों रुपये दे दे तो बड़ा अदब है। फिर ज़ाहिर व बातिन की रिआयत से आँखें नीची किये गर्दन झुकाये गुनाहों पर शरमाते रब्बुलइज़्ज़त के ग़ज़ब से लरज़ते काँपते बिस्मिल्लाह कह कर पहले सीधा पाँव बढ़ा कर दाख़िल हो और सामने की दीवार तक इतना बढ़े कि तीन हाथ का फ़ासिला रहे अगर मकरूह वक़्त न हो तो वहाँ दो रकअ्त नफ़्ल नमाज़ पढ़े कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह नमाज़ पढ़ी है फिर दीवार पर रुख़सारा (गाल)और मुँह रख कर हम्द व दुरूद व दुआ में कोशिश करे यूँही निगाह नीचे किये चारों गोशों पर जाये और दुआ करे और सुतूनों से चिमटे और फिर इस दौलत के मिलने और हज व ज़्यारत के कबूल की दुआ करे और यूँही आँखें नीचे किये वापस आये ऊपर या इधर उधर हरगिज़ न देखे और बड़े फ़ज़्ल की उम्मीद करो कि वह फ़रमाता है।

وَمَنْ دَخَلَ كَانَ اٰمِنًا

" जो इस घर में दाख़िल हुआ वह अमान में है। वलहम्दुलिल्लाह!

हरमैन शरीफ़ैन के तबर्रुकात

(41) बची हुई बत्ती वग़ैरा जो यहाँ या मदीना तय्यिबा में ख़ुद्दामे हरम देते हैं हरगिज़ न ले बल्कि अपने पास से बत्ती वहाँ रौशन करे बाक़ी उठा ले।

मसअला :– कअ्बए मुअ़ज़्ज़मा का ग़िलाफ़ जो साल भर बाद बदला जाता है और जो उतारा गया वह फ़ुक़रा पर तक़सीम कर दिया जाता है उस को उन फ़ुक़रा से ख़रीद सकते हैं और जो ग़िलाफ़ चढ़ा हुआ है उसमें से लेना जाइज़ नहीं बल्कि अगर कोई टुकड़ा जुदा होकर गिर पड़े तो उसे भी न ले और ले तो किसी सुन्नी फ़क़ीर को दे दे!

मसअला :– कअ्बए मुअ़ज़्ज़मा में ख़ुशबू लगी हो उसे भी लेना जाइज़ नहीं और अगर ली तो वापस कर दे और ख़्वाहिश हो तो अपने पास से ख़ुशबू ले जाकर मस कर लाये यअ्नी अपनी ख़ुशबू मसलन रूई में लगा कर कअ्बा शरीफ़ या उसके ग़िलाफ़ से उस रूई को लगाये फिर उस रूई को ख़ुद रख ले।

तवाफ़े रुख़सत

(42) जब इरादा रुख़सत का हो **तवाफ़े वदाअ़** रमल व सई व इज़्तिबाअ़ के बग़ैर करे कि बाहर वालों पर वाजिब है। हाँ वक़्ते रुख़सत औरत हैज़ या निफ़ास से हो तो उस पर तवाफ़ नहीं,जिसने सिर्फ़ उ़मरा किया है उस पर यह तवाफ़ वाजिब नहीं फिर तवाफ़ के बअ़द बदस्तूर दो रकअ़त मक़ामे इब्राहीम में पढ़े।

मसअ्ला :– सफ़र का इरादा था तवाफ़े रुख़सत कर लिया मगर किसी वजह से ठहर गया अगर इक़ामत की नियत न की तो वही तवाफ़ काफ़ी है मगर मुस्तहब यह है कि फिर तवाफ़ करे कि आख़िरी काम तवाफ़ रहे। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– मक्का वाले और मीक़ात के अन्दर रहने वाले पर तवाफ़े रुख़सत वाजिब नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– बाहर वाले ने मक्का में या मक्का के आसपास मीक़ात के अन्दर किसी जगह रहने का इरादा किया यअ़नी यह कि अब यहीं रहेगा तो अगर बारहवीं तारीख़ तक यह नियत कर ली तो अब उस पर यह तवाफ वाजिब नहीं ओर बारहवीं तारीख़ के बअ़द नियत की तो वाजिब हो गया और पहली सूरत मे अगर अपने इरादे को तोड़ दिया और वहाँ से रुख़सत हुआ तो उस वक़्त भी वाजिब नहीं होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– तवाफ़े रुख़सत में सिर्फ़ तवाफ़ की नियत ज़रूरी है वाजिब व रुख़सत नियत में होने की हाजत नहीं यहाँ तक कि अगर नफ़्ल की नियत से किया वाजिब अदा हो गया।

मसअ्ला :– हैज़ वाली मक्कए मुअ़ज़्ज़मा से जाने के क़ब्ल पाक हो गई तो उस पर यह तवाफ़ वाजिब है और अगर जाने के बअ़द पाक हुई तो उसे यह ज़रूरी नहीं कि वापस आये और वापस आई तो तवाफ़ वाजिब हो गया जबकि मीक़ात से बाहर न हुई थी और अगर जाने से पहले हैज़ ख़त्म हो गया मगर न ग़ुस्ल किया था और न नमाज़ का एक वक़्त गुज़रा था तो उस पर भी वापस आना वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जो बग़ैर तवाफ़े रुख़सत के चला गया तो जब तक मीक़ात से बाहर न हुआ वापस आये और मीक़ात से बाहर होने के बअ़द याद आया तो वापस होना ज़रूरी नहीं बल्कि दम दे दे और अगर वापस हो तो उ़मरा का एहराम बाँध कर वापस हो और उ़मरा से फ़ारिग़ होकर तवाफ़े रुख़सत अदा करे और इस सूरत में दम वाजिब न होगा।(आलमगीरी, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– तवाफ़े रुख़सत के तीन फेरे छोड़ गया तो हर फ़ेरे के बदले सदक़ा दे। (आलमगीरी)

(43) तवाफ़े रुख़सत के बअ़द ज़म ज़म पर आकर उसी तरह पानी पिये और बदन पर डाले।

(44) फिर दरवाज़ा–ए–कअ़बा के सामने खड़ा होकर आस्तानए पाक को बोसा दे और क़बूले हज व ज़्यारत और बार–बार हाज़िरी की दुआ माँगे और वही दुआए जामेअ़ पढ़े या यह पढ़े।

اَلسَّائِلُ بِبَابِكَ يَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَ مَعْرُوْفِكَ وَ يَرْجُوْرَ حْمَتَكَ.

तर्जमा :– "तेरे दरवाज़े पर साइल तेरे फ़ज़्ल व एहसान का सवाल करता है और तेरी रहमत का उम्मीदवार है।" (45) फिर **मुलतज़म** पर आकर ग़िलाफ़े कअ़बा थाम कर उसी तरह चिमटो ज़िक्र व दुआ व दुरूद की कसरत करो इस वक़्त यह दुआ पढ़ो

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْ لَآ اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ. اَللّٰهُمَّ فَلَمَّا هَدَيْتَنَا لِهٰذَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا وَ لَا تَجْعَلْ هٰذَا اٰخِرَ الْعَهْدِ مِنْ بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَ ارْزُقْنِى الْعَوْدَ اِلَيْهِ حَتّٰى تَرْضٰى بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

तर्जमा :– "ह़म्द है अल्लाह के लिए जिसने हमें हिदायत की अल्लाह हमको हिदायत न करता तो हम हिदायत न पाते इलाही जिस त़रह़ हमें तूने इसकी हिदायत की है तो तू हमसे इसको क़बूल फ़रमा और बैतुल ह़राम में यह हमारी आख़िरी ह़ाज़िरी न कर और इसकी त़रफ़ फिर लौटना हमें नसीब करना ताकि तू अपनी रह़मत के सबब राज़ी हो जाये सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान ! और ह़म्द है अल्लाह के लिए जो रब है तमाम जहान का और अल्लाह दुरूद भेजे हमारे सरदार मुह़म्मद और उनकी आल व असह़ाब सब पर"।

(46) फिर हजरे पाक को बोसा दो और जो आँसू रखते हो गिराओ और यह पढ़ो।

يَا يَمِيْنَ اللّٰهِ فِيْ اَرْضِهٖ اِنِّيْ اُشْهِدُكَ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا. اَنِّيْ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ. وَاَنَا اُوَدِّعُكَ هٰذِهِ الشَّهَادَةَ لِتَشْهَدَ لِيْ بِهَا عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُشْهِدُكَ عَلٰى ذٰلِكَ وَاُشْهِدُ مَلٰٓئِكَتَكَ الْكِرَامَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

तर्जमा :– " ऐ ज़मीन में अल्लाह के यमीन मैं तुझे गवाह करता हूँ और अल्लाह की गवाही काफ़ी है बेशक मैं इसकी गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मअ्बूद नहीं और मुह़म्मद स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और मैं तेरे पास इस गवाही को अमानत रखता हूँ ताकि तू अल्लाह के नज़दीक क़ियामत के दिन जिस दिन बड़ी घबराहट होगी तू मेरे लिए इसकी शहादत दे। ऐ अल्लाह! मैं तुझको और तेरे मलाइका को इस पर गवाह करता हूँ अल्लाह दुरूद भेजे हमारे सरदार मुह़म्मद स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम और उनकी आल व असह़ाब सब पर"।

(47)फिर उल्टे पाँव कअ्बा की त़रफ़ मुँह करके या सीधे चलने में फिर–फिर कर कअ्बा को ह़सरत से देखते उसकी जुदाई पर रोते या रोने का मुँह बनाते मस्जिदे करीम के दरवाज़े से बायाँ पाँव पहले बढ़ा कर निकलो और ज़िक्र की गई दुआ़ पढ़ो और इसके लिए ज़्यादा अच्छा **बाबे ह़ज़वरा** है। (48)ह़ैज़ व निफ़ास वाली औ़रत दरवाज़ए मस्जिद पर खड़ी होकर ह़सरत की निगाह से देखे और दुआ़ करती पलटे। (49)फिर बक़द्रे क़ुदरत मक्कए मुअ़ज़्ज़मा के सुन्नी फ़क़ीरों पर स़दक़ा करके सरकारे अअ्ज़म मदीना त़य्यिबा की त़रफ़ मुतवज्जेह हो। और तौफ़ीक़ अल्लाह ही की त़रफ़ से है!

क़िरान का बयान

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है :–

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ.

तर्जमा : " और अल्लाह के लिए हज व उ़मरा पूरा करो "।

अबूदाऊद व नसई व इब्ने माजा सुबई इब्ने मअ्बद तग़लबी से रावी कहते हैं मैंने हज व उ़मरा का एक साथ एहराम बाँधा अमीरूल मोमिनीन उ़मर फ़ारूक़ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने फ़रमाया तूने अपने नबी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की पैरवी की। सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम में अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को सुना हज व उ़मरा दोनों को लब्बैक में ज़िक्र फ़रमाते हैं। इमाम अहमद ने अबू तलहा अन्सारी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने हज व उ़मरा को जमा फ़रमाया।

मसअ्ला :– क़िरान के यह मअ्ना हैं कि हज व उ़मरा दोनों का एहराम एक साथ बाँधे या पहले उ़मरा का एहराम बाँधा था और अभी त़वाफ़ के चार फेरे न किये थे कि हज को शामिल कर लिया या पहले हज का एहराम बाँधा था उसके साथ उ़मरा भी शामिल कर लिया चाहे त़वाफ़े क़ुदूम से पहले उ़मरा शामिल किया या बअ्द में, त़वाफ़े क़ुदूम से पहले इसाअत (बुरा) है कि ख़िलाफ़े सुन्नत है मगर दम वाजिब नहीं और त़वाफ़े क़ुदूम के बअ्द शामिल किया तो वाजिब है कि उ़मरा तोड़ दे और दम दे उ़मरा की क़ज़ा करे और उ़मरा न तोड़ा जब भी दम देना वाजिब है।(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– क़िरान के लिए शर्त यह है कि उ़मरा के त़वाफ़ का अक्सर हिस्सा वुक़ूफ़े अ़रफ़ा से पहले हो लिहाज़ा जिसने त़वाफ़ के चार फेरों से पहले वुक़ूफ़ किया उसका क़िरान बातिल हो गया। (फ़तहुलक़दीर)

मसअ्ला :– सब से अफ़ज़ल क़िरान है फिर तमत्तोअ् फिर इफ़राद। (रद्दुल मुहतार वग़ैरा) क़िरान के एहराम का त़रीक़ा एहराम के बयान में ज़िक्र हुआ।

मसअ्ला :– क़िरान का एहराम मीक़ात से पहले भी हो सकता हे आर शव्वाल से पहले भी मगर उसके अफ़आ़ल हज के महीनों में किये जायें शव्वाल से पहले अफ़आ़ल नहीं कर सकते। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़िरान में वाजिब है कि पहले सात फेरे त़वाफ़ करे और उन में पहले तीन फेरों में रमल सुन्नत है फिर सई करे अब क़िरान का एक जुज़ यानी उ़मरा पूरा हो गया मगर अभी हल्क़ नहीं कर सकता और किया भी तो एहराम से बाहर न होगा और उसके जुर्माने में दो दम लाज़िम हैं। उ़मरा पूरा करने के बाद त़वाफ़े क़ुदूम करे और चाहे तो अभी सई भी कर ले वरना त़वाफ़े इफ़ाज़ा के बाद सई करे अगर अभी सई करे तो त़वाफ़े क़ुदूम के तीन पहले फेरों में भी रमल करे और दोनों त़वाफ़ों में इज़्तिबाअ् भी करे। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– एक साथ दो तवाफ़ किये फिर दो सई जब भी जाइज़ है मगर ख़िलाफ़े सुन्नत है और दम लाज़िम नहीं चाहे पहला त़वाफ़ उ़मरा की नियत से और दूसरा क़ुदूम की नियत से हो या दोनों में से किसी में तअ़य्युन न की या इसके सिवा किसी और त़रह की नीयत की बहर ह़ाल पहला उ़मरा का होगा और दूसरा त़वाफ़े क़ुदूम का।(दुर्रे मुख़्तार,मुनसक)

मसअ्ला :– पहले त़वाफ़ में अगर त़वाफ़े हज की नीयत की जब भी उ़मरा ही का त़वाफ़ है (जौहरा)उ़मरा से फ़ारिग़ होकर बदस्तूर मुह़रिम रहे और तमाम अफ़आ़ल बजा लाये दसवीं को सर मुंडाने के बाद फिर त़वाफ़े इफ़ाज़ा के बाद जैसे हज करने वाले के लिए चीज़ें ह़लाल होती हैं उसके लिए भी ह़लाल होंगी।

मसअ्ला :– क़ारिन पर दसवीं की रमी के बाद क़ुर्बानी वाजिब है और यह क़ुर्बानी किसी जुर्माने में नहीं बल्कि इसका शुक्रिया है कि अल्लाह तआ़ला ने उसे दो इबादतों की तौफ़ीक़ बख़्शी क़ारिन के लिए अफ़ज़ल यह है कि अपने साथ क़ुर्बानी का जानवर ले जाये। (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– इस क़ुर्बानी के लिए यह ज़रूर है कि ह़रम में हो बैरूने ह़रम (ह़रम के बाहर)नहीं हो सकती और सुन्नत यह कि मिना में हो और इसका वक़्त दसवीं ज़िलहिज्जा की फ़ज्र तुलुअ् (नमाज़े फ़ज्र का वक़्त शुरूअ्) होने से बारहवीं के ग़ुरूबे आफ़ताब तक है। मगर यह ज़रूर है कि रमी के बाद हो रमी से पहले करेगा तो दम लाज़िम आयेगा और अगर बारहवीं तक न की तो ज़िम्मे से

ख़त्म न होगी जब तक ज़िन्दा है कुर्बानी उस के ज़िम्मे है। (मुनसक)

मसअ्ला :– अगर कुर्बानी पर क़ादिर था और अभी कुर्बानी न की थी कि इन्तिक़ाल हो गया तो कुर्बानी की वसियत कर जाना वाजिब है और अगर वसियत न की मगर वारिसों ने ख़दु कर दी जब भी सही है। (मुनसक)

मसअ्ला :– क़ारिन को अगर कुर्बानी मयस्सर न आये कि उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा माल नहीं, न इतना सामान कि उसे बेच कर जानवर ख़रीदे तो दस रोज़े रखे इनमें तीन तो वहीं यअ्नी पहली शव्वाल से ज़िलहिज्जा की नवीं तक एहराम बाँधने के बाद रखे, चाहे सात,आठ नौ को रखे या उसके पहले, और बेहतर यह है कि नवीं से पहले ख़त्म कर दे और यह भी इख़्तेयार है कि मुतफ़र्रिक़(अलग–अलग)तौर पर रखे तीनों का पय दर पय (लगातार)रखना ज़रूर नहीं और सात रोज़े हज का ज़माना गुज़रने के बाद यअ्नी तेरहवीं के बाद रखे तेरहवीं को या उससे पहले नहीं हो सकते इन सात रोज़ों में इख़्तियार है कि वहीं रखे या मकान वापस आकर और बेहतर मकान पर वापस होकर रखना है और इन दसों रोज़ों में रात से नियत ज़रूर है। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– अगर पहले के तीन रोज़े नवीं तक नहीं रखे तो अब रोज़े काफ़ी नहीं बल्कि दम वाजिब होगा। दम देकर एहराम से बाहर हो जाये और अगर दम देने पर क़ादिर नहीं तो सर मुंडाकर या बाल कतरवा कर एहराम से जुदा हो जाये और दो दम वाजिब नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़ादिर न होने की वजह से रोज़े रख लिये फिर हल्क़ से पहले दसवीं को जानवर मिल गया तो अब वह रोज़े काफ़ी नहीं लिहाज़ा कुर्बानी करे और हल्क़ के बाद जानवर पर क़ुदरत हुई तो वह रोज़े काफ़ी हैं चाहे कुर्बानी के दिनों में क़ुदरत पाई गई या बाद में। यूँही अगर कुर्बानी के दिनों में सर न मुंडाया तो अगर्चे हल्क़ से पहले जानवर पर क़ादिर हो वह रोज़े काफ़ी हैं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़ारिन ने तवाफ़े उ़मरा के तीन फेरे करने के बाद वुक़ूफ़े अ़रफ़ा किया तो वह तवाफ़ जाता रहा और चार फेरे के बाद वुक़ूफ़े अ़रफ़ा किया तो बातिल न हुआ अगर्चे तवाफ़े क़ुदूम या नफ़्ल की नियत से किये लिहाज़ा यौमुन्नहर(कुर्बानी के दिन) में तवाफ़े ज़्यारत से पहले उस की तकमील करे और पहली सूरत में चुँकि उस ने उ़मरा तोड़ डाला लिहाज़ा एक दम वाजिब हुआ और वह कुर्बानी कि शुक्रिया के लिए वाजिब थी साक़ित (ख़त्म) हो गई और अब क़ारिन न रहा और अय्यामे तशरीक़ (दसवीं ज़िलहिज्जा की फ़ज्र से तेरहवीं ज़िलहिज्जा की अ़स्र तक)के बाद इस उ़मरा की क़ज़ा दे यअ्नी फ़िर से उ़मरा करे। (दुर्रे मुख़्तार)

तमत्तोअ् का बयान

अल्लाह तआला फ़रमाता है : –

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ط تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ط ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ٥ ط

तर्जमा :– " जिसने उ़मरा से हज की तरफ़ तमत्तोअ् किया उस पर कुर्बानी है जैसी मयस्सर आये फिर जिसे कुर्बानी की क़ुदरत न हो तो तीन रोज़े हज के दिनों में रखे और सात वापसी के बाद,यह दस पूरे हैं यह उनके लिए हैं जो मक्का का रहने वाला न हो और अल्लाह से डरो और जान लो कि अल्लाह का अ़ज़ाब सख़्त है"।

तमत्तोअ् इसे कहते हैं कि हज के महीनों में उमरा करे फिर उसी साल हज का एहराम बाँधे या पूरा उमरा न किया सिर्फ चार फेरे किये फिर हज का एहराम बाँधा।

मसअला :– तमत्तोअ् के लिए यह शर्त नहीं कि मीक़ात से एहराम बाँधे मीक़ात से पहले भी हो सकता है बल्कि अगर मीक़ात के बाद एहराम बाँधा जब भी हो सकता है अगर्चे बिला एहराम मीक़ात से गुजरना गुनाह है और दम लाज़िम है या फिर मीक़ात को वापस जाये यानी अगर हाजी चाहता है कि दम देना न पड़े तो उसे ज़रूरी है कि किसी मीक़ात पर जाकर एहराम बाँधे और फिर आकर उमरा करे यूँही तमत्तोअ् के लिए यह शर्त नहीं कि उमरा का एहराम हज के महीने में बाँधा जाये बल्कि शव्वाल से पेशतर भी एहराम बाँध सकते हैं अलबत्ता यह ज़रूरी है कि उमरा के तमाम अफ़आल या अक्सर तवाफ़ हज के महीने में हों मसलन तीन फेरे तवाफ़ के रमज़ान में किये फिर शव्वाल में बाक़ी चार फेरे कर लिये फिर उसी साल हज कर लिया तो यह भी तमत्तोअ् है और अगर रमज़ान में चार फेरे कर लिये थे और शव्वाल में तीन बाक़ी तो यह तमत्तोअ् नहीं और यह भी शर्त नहीं कि जिस साल एहराम बाँधा उसी साल तमत्तोअ् कर ले मसलन इस रमज़ान में एहराम बाँधा और एहराम पर क़ाइम रहा दूसरे साल उमरा फिर हज किया तो तमत्तोअ् हो गया।(आलमगीरी)

तमत्तोअ् के शराइत

तमत्तोअ् की दस शर्ते हैं :–

1. हज के महीने मे पूरा तवाफ़ करना या अक्सर हिस्सा यानी चार फेरे करना।
2. उमरा का एहराम हज के एहराम से मुक़द्दम (पहले)होना ।
3. हज के एहराम से पहले उमरा का पूरा तवाफ़ या अक्सर हिस्सा कर लिया हो।
4. उमरा फ़ासिद यानी बेकार न किया हो।
5. हज फ़ासिद न किया हो।
6. इलमामे सही न किया हो, इलमामे सही के यह मअ्ना हैं कि उमरा के बाद एहराम खोल कर अपने वतन को वापस जाये और वतन से मुराद वह जगह है जहाँ रहता है,पैदाइश का मक़ाम अगर्चे दूसरी जगह हो लिहाज़ा अगर उमरा करने के बाद वतन गया फिर वापस आकर हज किया तो तमत्तोअ् न हुआ और अगर उमरा करने से पेंशतर गया या उमरा करके बग़ैर हल्क़ किये यानी एहराम ही में वतन गया फिर वापस आकर उसी साल हज किया तो तमत्तोअ् है। यूँही अगर उमरा करके एहराम खोल दिया फिर हज का एहारम बाँध कर वतन गया तो यह भी इलमामे सही नहीं लिहाज़ा अगर वापस आकर हज करेगा तो तमत्तोअ् होगा।
7. हज व उमरा दोनों एक ही साल में हों।
8. मक्कए मुअ़ज़्ज़मा में हमेशा के लिए ठहरने का इरादा न हो, लिहाज़ा अगर उमरा के बाद पक्का इरादा कर लिया है कि यहीं रहेगा तो तमत्तोअ् नहीं और दो एक महीने का हो तो है।
9. मक्कए मुअ़ज़्ज़मा में हज का महीना आ जाये तो बे–एहराम के न हो और न ऐसा हो कि एहराम है मगर चार फेरे तवाफ़ के हज के महीने से पहले कर चुका है हाँ अगर मीक़ात से बाहर वापस जाये फिर उमरा का एहराम बाँध कर आये तो तमत्तोअ् हो सकता है।
10. मीक़ात से बाहर का रहने वाला हो,मक्का का रहने वाला तमत्तोअ् नहीं कर सकता।(रद्दुलमुहतार)

मसअला :– तमत्तोअ् की दो सूरतें हैं एक यह कि अपने साथ कुर्बानी का जानवर लाया दूसरी सूरत यह कि जानवर न लाये, जो जानवर न लाया वह मीक़ात से उ़मरा का एह़राम बाँधे और मक्कए मुअ़ज़्ज़मा में आकर त़वाफ़ व सई करे और सर मुंडाये अब उ़मरा से फ़ारिग़ हो गया और त़वाफ़ शुरूअ् करते ही यानी संगे असवद को बोसा देते वक़्त लब्बैक ख़त्म कर दे अब मक्का में बग़ैर एह़राम रहे, आठवीं ज़िलहिज्जा को मस्जिद ह़राम शरीफ़ से ह़ज का एह़राम बाँधे और ह़ज के तमाम अफ़आ़ल बजा लाये मगर इसके लिए त़वाफ़े क़ुदूम नहीं और त़वाफ़े ज़्यारत में या ह़ज का एह़राम बाँधने के बाद इसी त़वाफ़े नफ़्ल में रमल करे और उसके बाद सई करे और अगर ह़ज का एह़राम बाँधने के बाद त़वाफ़े क़ुदूम कर लिया है तो अगर्चे इसके लिए यह त़वाफ़ मसनून (सुन्नत)न था और उसके बाद सई कर ली है तो अब त़वाफ़े ज़्यारत में रमल नहीं, चाहे त़वाफ़े क़ुदूम में रमल किया हो या नहीं और त़वाफ़े ज़्यारत के बाद अब सई भी नहीं उ़मरा से फ़ारिग़ होकर ह़ल्क़ भी ज़रूरी नहीं। उसे यह भी इख़्तियार है कि सर न मुंडाये वैसे ही मुह़रिम रहे यूँही मक्कए मुअ़ज़्ज़मा ही में रहना उसे ज़रूर नहीं, चाहे वहाँ रहे या वत़न के सिवा कहीं और मगर जहाँ रहे वहाँ वाले जहाँ से एह़राम बाँधते हैं यह भी वहीं से एह़राम बाँधे अगर मक्का मुकर्रमा में है तो यहाँ वालों की त़रह़ एह़राम बाँधे। अगर ह़रम से बाहर और मीक़ात के अन्दर है तो ह़िल (मक्का मुअ़ज़्ज़मा की वह जगह जो ह़रम शरीफ़ से बाहर है) में एह़राम बाँधे और मीक़ात से भी बाहर हो गया तो मीक़ात से बाँधे यह उस सूरत में है जब कि किसी और ग़रज़ से ह़रम या मीक़ात से बाहर जाना हो और अगर एह़राम बाँधने के लिए ह़रम से बाहर गया तो उस पर दम वाजिब है। मगर जबकि वुक़ूफ़ से पहले मक्का में आ गया तो साक़ित़ हो गया और मक्कए मुअ़ज़्ज़मा में रहा तो ह़रम में एह़राम बाँधे और बेहतर यह है कि मक्का मुअ़ज़्ज़मा में हो और उस से बेहतर यह है कि मस्जिदे ह़रम में हो और सब से बेहतर यह कि ह़तीम शरीफ़ में एह़राम का बाँधना हो यूँही आठवीं को एह़राम बाँधना ज़रूर नहीं। नवीं को भी हो सकता है और आठवीं से पहले भी बल्कि आठवीं से पहले एह़राम बाँधना अफ़ज़ल है। तमत्तोअ् करने वाले पर वाजिब है कि दसवीं तारीख़ को शुक्राना में कुर्बानी करे उसके बाद सर मुंडाये अगर कुर्बानी की इस्तित़ाअ़त न हो तो उसी त़रह रोज़े रखे जो क़िरान वाले कि लिए हैं यअ्नी तीन रोज़े एह़राम की ह़ालत में और ह़ज के महीने में रखे और सात रोज़े ज़िलहिज्जा की तेरहवीं तारीख़ के बाद रखे। (जौहरा,आ़लमगीरी,दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– अगर अपने साथ जानवर ले जाये तो एह़राम बाँध कर ले चले और खींच कर ले जाने से हाँकना अफ़ज़ल है। हाँ अगर पीछे से हाँक कर नहीं चलता तो आगे से खींचे और उसके गले में हार डाल दे कि लोग यह समझें कि यह ह़रम में कुर्बानी को जाता है और हार डालना झूल डालने से बेहतर है और यह भी हो सकता है कि उस जानवर के कोहान में दाहिनी या बाईं जानिब हल्का–सा शिगाफ़ कर दे यानी चमड़ा चीर दे कि गोश्त तक ज़ख़्म न पहुँचे अब मक्कए मुअ़ज़्ज़मा में पहुँच कर उ़मरा करे और उ़मरा से फ़ारिग़ होकर भी मुह़रिम रहे जब तक कुर्बानी न कर ले। उसे सर मुंडाना जाइज़ नहीं जब तक कुर्बानी न कर ले वरना दम लाज़िम आयेगा फिर वह तमाम अफ़आ़ल करे जो उसके लिए बताये गये कि जानवर न लाया था और दसवीं तारीख़ को रमी कर के सर मुंडाये अब दोनों एह़राम से एक साथ फ़ारिग़ हो गया। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– जो जानवर लाया और जो न लाया दोनों में फ़र्क़ यह है कि अगर जानवर न लाया और उ़मरा के बाद एहराम खोल डाला अब हज का एहराम बाँधा और कोई जनायत यानी गुनाह हुआ तो जुर्माना मुफ़रिद की त़रह है और वह एहराम बाक़ी था तो जुर्माना क़ारिन की त़रह है और जानवर लाया तो बहरहा़ल क़ारिन की मिस्ल है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मीक़ात के अन्दर वालों के लिए क़िरान व तमत्तोअ़ नहीं अगर करें तो दम दें।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– जो जानवर लाया है उसे रोज़ा रखना काफ़ी न होगा अगर्चे नादार हो। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– जानवर नहीं ले गया और उ़मरा करके घर चला आया तो यह इलमाम स़ही है उसका तमत्तोअ़ जाता रहा अब ह़ज करेगा तो मुफ़रिद है और जानवर ले गया और उ़मरा करके घर वापस आया फिर मुह़रिम रहा और ह़ज को गया तो यह इलमाम स़ही नहीं लिहाज़ा उसका तमत्तोअ़ बाक़ी है यूँही अगर घर न आया उ़मरा कर के कहीं और चला गया तो तमत्तोअ़ न गया। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– तमत्तोअ़ करने वाले ने ह़ज या उ़मरा फ़ासिद कर दिया तो उसकी क़ज़ा दे और जुर्माने में दम दे और तमत्तोअ़ की क़ुर्बानी उसके ज़िम्मे नहीं कि तमत्तोअ़ रहा ही नहीं।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– तमत्तोअ़ के लिए यह ज़रूरी नहीं कि ह़ज व उ़मरा दोनों एक ही त़रफ़ से हों बल्कि यह हो सकता है कि एक अपनी त़रफ़ से हो और दूसरा किसी और की जानिब से या एक शख़्स ने उसे ह़ज का हुक्म दिया और दूसरे ने उ़मरा का और दोनों ने तमत्तोअ़ की इजाज़त दे दी तो कर सकता है मगर क़ुर्बानी ख़ुद उसके ज़िम्मे हैं और अगर नादार है तो रोज़े रखे। (मुनसक)

मसअला :– ह़ज के महीने में उ़मरा किया मगर उसे फ़ासिद कर दिया फिर घर वापस गया फिर आकर उ़मरा की क़ज़ा की और उसी साल ह़ज किया तो यह तमत्तोअ़ हो गया और अगर मक्का ही में रह गया या मक्का से चला गया मगर मीक़ात के अन्दर रहा या मीक़ात से भी बाहर हो गया मगर घर न गया और आकर उ़मरा की क़ज़ा की और उसी साल ह़ज भी किया तो इन सब सूरतों में तमत्तोअ़ न हुआ। (जौहरा)

जुर्म और उनके कफ़्फ़ारा का बयान

अल्लाह तआला फ़रमाता है :–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ط وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ط عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ط وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝ اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ج وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝

तर्जमा :– "ऐ ईमान वालो! एह़राम की ह़ालत में शिकार न करो और जो तुम में से क़स्दन जानवर को क़त्ल करेगा तो बदला दे उस जानवर की त़रह़ जो क़त्ल हुआ तुम में के दो आ़दिल जो हुक्म करें वह बदला क़ुर्बानी होगी जो कअ़बा को जाये या कफ़्फ़ारा मिस्कीन का खाना या उसके बराबर रोज़े ताकि अपने किये का वबाल चखे अल्लाह ने उसे माफ़ फ़रमाया जो पेशतर हो चुका और जो फिर करेगा तो अल्लाह उससे बदला लेगा और अल्लाह ग़ालिब बदला लेने वाला है। दरिया का शिकार और उसका खाना तुम्हारे लिए ह़लाल किया गया तुम्हारे और मुसाफ़िरों के बरतने के लिए

और खुश्की का शिकार तुम पर हराम है जब तक तुम मुह्रिम हो और अल्लाह से डरो जिसकी तरफ़ तुम उठाये जाओगे"।

और फ़रमाता है :–

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْبِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْنُسُكٍ

तर्जमा :– "जो तुम में से बीमार हो या उसके सर में तकलीफ़ हो (और सर मुंडा ले) तो फ़िदिया दे रोज़े या सदक़ा या क़ुर्बानी"।

सहीहैन वग़ैराहुमा में कअ़ब इब्ने अ़जरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाये और यह मुह्रिम थे और हांडी के नीचे आग जला रहे थे और जूँए उनके चेहरे पर गिर रही थीं इरशाद फ़रमाया क्या यह कीड़े तुम्हें तकलीफ़ दे रहे हैं। अ़र्ज़ की हाँ फ़रमाया सर मुंड़वा डालो और तीन साअ़ खाना छह मिस्कीनों को दे दो या तीन रोज़े रखो या क़ुर्बानी करो।

तम्बीह :– मुह्रिम अगर बिलक़स्द (जानबूझ कर)बिला उ़ज्र जुर्म करे तो कफ़्फ़ारा भी वाजिब है और गुनाहगार भी हुआ लिहाज़ा इस सूरत में तोबा वाजिब कि महज़ कफ़्फ़ारा से पाक न होगा जब तक तोबा न करे और अगर जान बूझकर या उ़ज्र से है तो कफ़्फ़ारा काफ़ी है। जुर्म में कफ़्फ़ारा बहर हाल लाज़िम है याद से हो या भूल–चूक से उसका जुर्म होना जानता हो या मालूम न हो,ख़ुशी से हो या मजबूरन सोते में हो या बेदारी में, नशा या बेहोशी में हो या होश में, उसने अपने आप किया हो या दूसरे ने उसके हुक्म से किया।

तम्बीह :– इस बयान में जहाँ दम कहेंगे उससे मुराद एक बकरी या भेड़ होगी, और बदना से मुराद ऊँट या गाय है। ये सब जानवर उन्हीं शराइत़ के हों जो क़ुर्बानी में हैं। और सदका से मुराद अंग्रेज़ी रुपये से एक सौ पचहत्तर रुपये आठ आने (175.50रुपये)भर गेहूँ कि सौ रुपये के सेर से पौने दो सेर अठन्नी भर ऊपर हुए या इसके दूने जौ या खजूर या इनकी क़ीमत यानी जितना सदक़ए फ़ित्र में देते हैं। (नई तोल से 2 कि 45 ग्रा0) (क़ादरी)

मसअ्ला :– जहाँ दम का हुक्म है वह जुर्म अगर बीमारी या सख़्त गर्मी या शदीद सर्दी या ज़ख़्म या फ़ोड़े या जुओं की सख़्त ईज़ा (तकलीफ़) के सबब होगा तो उसे जुर्मे ग़ैर इख़्तियार कहते हैं। इसमें इख़्तियार होगा कि दम के बदले छह मिस्कीनों को एक–एक सदक़ा दे दे या दोनों वक़्त पेट भर कर खिलाये या तीन रोज़े रख ले अगर छहं सदके एक मिस्कीन को दे दिये या तीन या सात मिसकीनों पर तक़सीम कर दिये तो कफ़्फ़ारा अदा न होगा बल्कि शर्त़ यह है कि छह मिस्कीनों को दे और अफ़ज़ल यह है कि ह़रम के सुन्नी मिस्कीन हों और अगर उसमें सदक़ा का हुक्म है और मजबूरी में किया तो इख़्तियार होगा कि सदक़ा के बदले एक रोज़ा रख ले। कफ़्फ़ारा इसलिए है कि भूल–चूक से या सोते में या मजबूरी से जुर्म हों तो कफ़्फ़ारा से पाक हो जायें न इसलिए कि जानबूझ कर बिला उ़ज्र जुर्म करो और कहो कि कफ़्फ़ारा दे देंगे,देना तो जब भी आयेगा मगर क़स्दन हुक्मे इलाही की मुख़ालफ़त बहुत सख़्त है।

मसअ्ला :– जहाँ एक दम या सदक़ा है क़ारिन पर दो हैं। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– कफ़्फ़ारा की क़ुर्बानी या क़ारिन व मुतमत्तेअ़ के शुक्राने की क़ुर्बानी ह़रम के अ़लावा

दूसरी जगह नहीं हो सकती। हरम के बाहर की तो अदा न हुई। हाँ जुर्मे ग़ैर इख़्तियारी में अगर उसका गोश्त छह मिस्कीनों पर सदक़ा किया और हर मिस्कीन को एक–एक सदक़ा की क़ीमत का गोश्त पहुँचा तो अदा हो गया।

मसअला :– शुक्राने की क़ुर्बानी से ख़ुद खाये ग़नी को खिलाये मिस्कीनों को दे और कफ़्फ़ारा की क़ुर्बानी सिर्फ़ मोहताजों का हक़ है।

मसअला :– अगर क़फ़्फ़ारे के रोज़े रखे तो उसमें शर्त यह है कि रात से यानी सुब्हे सादिक़ से पहले नीयत कर ले और यह भी नियत कि फ़लाँ कफ़्फ़ारे का रोज़ा है। मुतलक़ रोज़े की नियत या नफ़्ल या कोई और नियत की तो कफ़्फ़रा अदा न हुआ और पय दर पय (लगातार) होना या हरम में रखना ज़रूरी नहीं। (मुनसक) अब अहकाम सुनिये :

1. ख़ुश्बू और तेल लगाना

मसअला :– ख़ुश्बू अगर बहुत सी लगाई जिसे देख कर लोग बहुत बतायें अगर्चे उ़ज़्व(अंग) के थोड़े हिस्से पर या किसी बड़े उ़ज़्व जैसे सर, मुँह, रान, पिंडली को पूरा सान दिया अगर्चे ख़ुश्बू थोड़ी है तो इन दोनों सूरतों में दम है और अगर थोड़ी सी ख़ुश्बू उ़ज़्व के थोड़े से हिस्से में लगाई तो सदक़ा है।(आलमगीरी)

मसअला :– कपड़े या बिछौने पर ख़ुश्बू मली तो ख़ुद ख़ुशबू की मिक़दार देखी जायेगी, ज़्यादा है तो दम और कम है तो सदक़ा। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला :– ख़ुश्बू सूँघी फल हो या फूल जैसे नींबू नारंगी, गुलाब, चंबेली, बेला जूही, बग़ैरा के फुल तो कुछ कफ़्फ़ारा नहीं अगर्चे मुहरिम को ख़ुश्बू सूँघना मकरूह है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– एहराम से पहले बदन पर ख़ुश्बू लगाई थी एहराम के बाद फैल कर और आज़ा को लगी तो कफ़्फ़ारा नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मुहरिम ने दूसरे के बदन पर ख़ुश्बू लगाई मगर इस तरह कि उसके हाथ वग़ैरा किसी उ़ज़्व में ख़ुशबू न लगी या उसको सिला हुआ कपड़ा पहनाया तो कुछ कफ़्फ़ारा नहीं मगर जबकि मुहरिम को ख़ुश्बू लगाई या सिला हुआ कपड़ा पहनाया तो गुनाहगार हुआ और जिसको लगाई या पहनाया उस पर कफ़्फ़ारा वाजिब। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– थोड़ी सी ख़ुश्बू बदन कें मुतफ़र्रिक़(अलग–अलग) हिस्सों पर लगाई अगर जमा करने से पूरे बड़े उ़ज़्व की मिक़दार को पहुँच जाये तो दम है वरना सदक़ा और ज़्यादा ख़ुश्बू मुतफ़र्रिक़ जगह लगाई तो बहरहाल दम है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– एक जलसा यानी एक बार में कितने ही अअ्ज़ा पर ख़ुश्बू लगाये बल्कि सारे बदन पर लगाये तो एक ही जुर्म है और एक कफ़्फ़ारा वाजिब और कई जलसों यानी कई बार में लगाई तो हर बार दूसरी बार के लिए अलग–अलग कफ़्फ़ारा है चाहे पहली बार का कफ़्फ़ारा देकर दूसरी बार लगाई या अभी किसी का कफ़्फ़ारा न दिया हो। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– किसी श़य(चीज़) में ख़ुश्बू लगी थी उसे छुआ अगर उस से ख़ुश्बू छूट कर बड़े उ़ज़्व (अंग) के मिक़दार बदन को लगी तो दम दे और कम हो तो सदक़ा और कुछ नहीं तो कुछ नहीं मसलन संगे असवद शरीफ़ पर ख़ुश्बू मली जाती है अगर एहराम की हालत में बोसा लेते में

बहुत सी लगी तो दम दे और थोड़ी सी तो सदक़ा (आलमगीरी)
मसअ्ला :– खुश्बूदार सुर्मा एक या दो बार लगाया तो सदक़ा दे इससे ज़्यादा में दम और जिस सुर्मा में खुश्बू न हो उसके इस्तेमाल में हरज नहीं जबकि ज़रूरत से हो और बिला ज़रूरत मकरूह। (मुनसक,आलमगीरी)
मसअ्ला :– अगर ख़ालिस खुश्बू जैसे मुश्क,ज़ाफ़रान लौंग, इलायची,दारचीनी इतनी खाई कि मुँह के अक्सर हिस्से में लग गई तो दम है वरना सदक़ा। (रद्दुल मुहतार)
मसअ्ला :– खाने में पकते वक़्त खुश्बू पड़ी या फ़ना (ख़त्म)हो गई तो कुछ नहीं वरना अगर खुश्बूदार चीज़ के हिस्से ज़्यादा हों तो वह ख़ालिस खुश्बू के हुक्म में है और खाना ज़्यादा हो तो कफ़्फ़ारा कुछ नहीं मगर खुश्बू आती हो तो मकरूह है। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)
मसअ्ला :– पीने की चीज़ में खुश्बू मिलाई अगर खुश्बू ग़ालिब (ज़्यादा)है या तीन बार या ज़्यादा पिया तो दम है वरना सदक़ा (रद्दुल मुहतार)
मसअ्ला :– तम्बाकू खाने वाले इसका ख़्याल रखें कि एहराम में खुशबूदार तम्बाकू न खायें कि पत्तियों में तो वैसे ही कच्ची खुशबू मिलाई जाती है और किवाम(शीरा)में भी अक्सर पकाने के बाद मुश्क वग़ैरा मिलाते हैं।
मसअ्ला :– ख़मीरा तम्बाकू न पीना बेहतर है कि उसमें खुश्बू होती है मगर पिया तो कफ़्फ़ारा नहीं।
मसअ्ला :– अगर ऐसी जगह गया जहाँ खुश्बू सुलग रही है और उसके कपड़े भी बस गये तो कुछ नहीं और सुलग कर उसने खुद बसाये तो क़लील(थोड़े)में सदक़ा और कसीर (ज़्यादा)में दम और न बसे तो कुछ नहीं और अगर एहराम से पहले बसाया था और एहराम में पहना तो मकरूह है मगर कफ़्फ़ारा नहीं। (आलमगीरी,मुनसक)
मसअ्ला :– सर पर मेहंदी का पतला ख़िज़ाब किया कि बाल न छुपे तो एक दम और गाढ़ी थोपी कि बाल छुप गये और चार पहर गुज़रे तो मर्द पर दो दम और चार पहर से कम में एक दम और एक सदक़ा और औरत पर बहरहाल एक दम, चौथाई सर छुपने का भी यही हुक्म है और चौथाई से कम में सदक़ा है और सर पर वसमा पतला–पतला लगाया तो कुछ नहीं और गाढ़ा हो तो मर्द को कफ़्फ़ारा देना होगा। (जौहरा,आलमगीरी)
मसअ्ला :– दाढ़ी में मेंहदी लगाई जब भी दम वाजिब है पूरी हथेली या तलवे में लगाई तो दम दे मर्द हो या औरत और चारों हाथ–पाँव में एक ही जलसा में लगाई जब भी एक ही दम है वरना हर जलसा पर एक दम और हाथ–पाँव के किसी हिस्से में लगाई तो सदक़ा (जौहरा,रद्दुल मुहतार वग़ैरहुमा)
मसअ्ला :– ख़तमी (दवा का नाम)से सर या दाढ़ी धोई तो दम है। (आलमगीरी)
मसअ्ला :– इत्रफ़रोश की दुकान पर खुश्बू सूंघने के लिए बैठा तो कराहत है वरना हरज नहीं।(आलमगीरी)
मसअ्ला :– चादर या तहबन्द के किनारे में मुश्क अम्बर, ज़ाफ़रान बाँधा अगर ज़्यादा है और चार पहर गुज़रे तो दम है और कम है तो सदक़ा। (रद्दुल मुहतार)
मसअ्ला :– खुश्बू इस्तेमाल करने में जानबूझ कर या अनजाने में होना,याद करके या भूले से होना मजबूरन या खुशी से होना,मर्द व औरत दोनों के लिए सब का बराबर हुक्म है। (आलमगीरी)
मसअ्ला :– खुश्बू लगाना जब जुर्म करार पाया तो बदन या कपड़े से दूर करना वाजिब है और

कफ़्फ़ारा देने के बाद ज़ाइल (ख़त्म)न किया तो फिर दम वग़ैरा वाजिब होगा इसलिए ख़ुश्बू कफ़्फ़ारा देने से पहले दूर कर दे। (आलमगीरी)

मसअला :– ख़ुश्बू लगाने से बहरहाल कफ़्फ़ारा वाजिब है अगर्चे फ़ौरन ज़ाइल कर दी हो और अगर कोई ग़ैर मुहरिम मिले तो उससे धुलवाये और अगर सिर्फ़ पानी बहाने से धुल जाये तो यूँही करे। (मुनसक)

मसअला :– रोग़ने चंबेली वग़ैरा ख़ुश्बूदार तेल लगाने का वही हुक्म है जो ख़ुश्बू इस्तेमाल करने में था।(आलमगीरी)

मसअला :– तिल और ज़ैतून का तेल ख़ुश्बू के हुक्म में है अगर्चे इनमें ख़ुश्बू न हो अलबत्ता इन तेलों के खाने और नाक में चढ़ाने और ज़ख़्म पर लगाने और कान में टपकाने से सदक़ा वाजिब नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसअला :– मुश्क, अम्बर, ज़ाफ़रान वग़ैरा जो ख़ुद ही ख़ुश्बू हैं उनके इस्तेमाल से मुतलक़न कफ़्फ़ारा लाज़िम है अगर्चे दवा के तौर पर इस्तेमाल किया हो यह उस सूरत में है जबकि इनको ख़ालिस इस्तेमाल करें और अगर दूसरी चीज़ जो ख़ुश्बूदार न हो उसके साथ मिला कर इस्तेमाल किया तो ग़ालिब (ज़्यादा होने)का एअ्तिबार है और दूसरी चीज़ में मिला कर पका लिया हो तो कुछ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– ज़ख़्म का इलाज ऐसी दवा से किया जिसमें ख़ुश्बू है फिर दूसरा ज़ख़्म हुआ उसका इलाज पहले के साथ किया तो जब तक पहला अच्छा न हो उस दूसरे की वजह से कफ़्फ़ारा नहीं और पहले के अच्छे होने के बाद भी दूसरे में वह ख़ुश्बूदार दवा लगाई तो कफ़्फ़रार वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअला :– कुसुम (एक क़िस्म का फूल जिस से कपड़े रंगे जाते हैं)या ज़ाफ़रान का रंगा हुआ कपड़ा चार पहर पहना तो दम दे और इस से कम पहना तो सदक़ा दे अगर्चे फ़ौरन उतार डाला। (आलमगीरी)

2. सिले कपड़े पहनना

मसअला :– मुहरिम ने सिला कपड़ा मुकम्मल चार पहर तक पहना तो दम वाजिब है और इससे कम पहना तो सदक़ा वाजिब है अगर्चे थोड़ी देर पहना और लगातार कई दिन तक पहने रहा जब भी एक दम वाजिब है जबकि यह लगातार पहनना एक तरह का हो यानी उज़्र से या बिला उज़्र और अगर मसलन एक दिन बिला उज़्र था दूसरे दिन उज़्र से था या इसका उल्टा किया तो दो कफ़्फ़ारे वाजिब होंगे। (आलमगरी वग़ैरा)

मसअला :– अगर दिन में पहना रात में गर्मी के सबब उतार डाला या रात में सर्दी की वजह से पहना दिन में उतार डाला, ग़लती न करने की नियत से न उतारा तो एक कफ़्फ़ारा वाजिब होगा यूँही किसी दिन कुर्ता पहना था और उतार डाला फिर पाजामा पहना उसे भी उतार कर टोपी पहनी तो यह सब एक ही पहनना है और अगर एक दिन एक पहना दूसरे दिन दूसरा पहना तो दो कफ़्फ़ारे वाजिब हैं। (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– बीमारी के सबब पहना तो जब तक वह बीमारी रहेगी एक जुर्म है और बीमारी बिल्कुल जाती रही और न उतारा तो यह दूसरा जुर्म इख़्तियारी है और अगर वह बीमारी बिल्कुल जाती रही मगर दूसरी बीमारी फ़ौरन शुरूअ् हो गई और उसमें भी पहनने की ज़रूरत है जब भी यह दूसरा जुर्म ग़ैर इख़्तियारी है। (दुर्रेमुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– बारी के साथ बुख़ार आता है और जिस दिन बुख़ार आया कपड़े पहन लिये दूसरे दिन उतार डाले तीसरे दिन फिर पहने तो जब तक बारी वाला बुख़ार आये एक ही जुर्म है। (मुनसक)

मसअ्ला :– अगर सिला कपड़ा पहना और उसका कफ़्फ़ारा अदा कर दिया मगर उतारा नहीं दूसरे दिन भी पहने ही रहा तो अब दूसरा कफ़्फ़ारा वाजिब है यूँही अगर एहराम बाँधते वक़्त सिला हुआ कपड़ा उतारा तो सदक़ा दे और अगर पूरे चार पहर तक पहनने के बाद उतारा तो दम दे।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– बीमारी वग़ैरा के सबब अगर सर से पाँव तक सब कपड़े पहनने की ज़रूरत हुई तो एक ही जुर्म ग़ैर इख़्तियारी है और बिला उज़्र सब कपड़े पहने तो एक जुर्म इख़्तियारी है यानी चार पहर पहने तो दोनों सूरतों में दम है और इससे कम में सदक़ा और अगर ज़रूरत एक कपड़े की थी इसने दो पहने तो अगर उसी ज़रूरत की जगह पर भी दूसरा पहने तो एक कफ़्फ़ारा है और गुनाहगार हुआ मसलन एक कुर्ते की ज़रूरत थी दो पहन लिये या टोपी की ज़रूरत थी इमामा भी बाँध लिया और अगर दूसरा कपड़ा उस जगह के सिवा दूसरी जगह पहना मसलन ज़रूरत सिर्फ़ इमामे की है उसने कुर्ता भी पहन लिया तो दो जुर्म हैं इमामे का ग़ैर इख़्तियारी और कुर्ते का इख़्तियरी। ख़ुलासा यह कि ज़रूरत की जगह मे ज़्यादती की तो एक जुर्म है और ज़रूरत की जगह के इलावा और जगह भी पहना तो दो जुर्म हैं। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– बग़ैर ज़रूरत सब कपड़े एक साथ पहन लिये तो एक जुर्म है दो जुर्म उस वक़्त हैं जब एक ज़रूरत से हो और दूसरा बे–ज़रूरत। (मुनसक)

मसअ्ला :– दुश्मन की वजह से कपड़े पहने हथियार बाँधे और वह भागा उसने उतार डाले वह फिर आ गया उसने फिर पहने तो यह एक ही जुर्म है यूँही दिन में दुश्मन से लड़ना पड़ता है यह दिन में हथियार बाँध लेता है और रात में उतार डालता है तो यह हर रोज़ का बाँधना एक ही जुर्म है जब तक उज़्र बाक़ी है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुहरिम ने दूसरे मुहरिम को सिला हुआ या ख़ुश्बूदार कपड़ा पहनाया तो इस पहनाने वाले पर कुछ नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मर्द या औरत ने मुँह की टकली सारी या चहारुम (चौथाई)छुपा ली या मर्द ने पूरा या चहारुम सर छुपाया तो चार पहर या ज़्यादा लगातार छुपाने में दम है और कम में सदक़ा और चहारुम से कम को चार पहर तक छुपाया तो सदक़ा है और चार पहर से कम में कफ़्फ़ारा नहीं मगर गुनाह है। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– मुहरिम ने सर पर कपड़े की गठरी रखी तो कफ़्फ़ारा है और ग़ल्ले की गठरी या तख़्ता या लगन वग़ैरा कोई बर्तन रख लिया तो कफ़्फ़ारा नहीं और अगर सर पर मिट्टी थोप ली तो कफ़्फ़ारा है। (मुनसक, आलमगीरी)

मसअ्ला :– सिला हुआ कपड़ा पहनने में यह शर्त नहीं कि क़स्दन (जानबूझ कर)पहने बल्कि भूलकर हो या नादानी में बहरहाल वही हुक्म यूँही सर और मुँह छुपाने में यहाँ तक कि मुहरिम ने सोते में सर या मुँह छुपा लिया तो कफ़्फ़ारा वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– कान और गुद्दी के छुपाने में हरज नहीं यूँही नाक पर ख़ाली हाथ रखने में, और अगर हाथ में कपड़ा है और कपड़े समेत नाक पर हाथ रखा तो कफ़्फ़ारा नहीं मगर मकरूह व गुनाह है।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– पहनने का मतलब यह है कि वह कपड़ा इस तरह पहने जैसे आदतन पहना जाता है वरना अगर कुर्ते का तहबन्द बाँध लिया या पाजामे को तहबन्द की तरह लपेटा पाँव पांयचे में न

डाले तो कुछ नहीं, यूँही अंगरखा फैलाकर दोनों कन्धों पर रख लिया आस्तीनों में हाथ न डाले तो कफ़्फ़ारा नहीं मगर मकरूह है और मोंढो पर सिले कपड़े डाल लिये तो कुछ नहीं।(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार,आलमगीरी)

मसअ्ला :— जूते न हों तो मोज़े को वहाँ से काट कर पहने जहाँ अरबी जूते का तसमा होता है और बग़ैर काटे हुए पहन लिया तो पूरे चार पहर पहनने में दम है और उससे कम में सदक़ा है, और जूते मौजूद हों तो मोज़े काट कर पहनना जाइज़ नहीं कि माल को ज़ाए (बरबाद)करना है फिर भी अगर ऐसा किया तो कफ़्फ़रा नहीं। (मुनसक) यहाँ से यह भी मालूम हुआ कि एहराम में अंग्रेज़ी जूते पहनना जाइज़ नहीं कि वह उस जोड़ को छुपाते हैं जिसका एहराम में खुला होना वाजिब है, पहनेगा तो कफ़्फ़ारा लाज़िम आयेगा।

3. बाल दूर करना

मसअ्ला :— सर या दाढ़ी के चौथाई बाल या ज़्यादा किसी तरह दूर किये तो दम है और कम में सदक़ा और अगर चन्दला है या दाढ़ी में कम बाल हैं तो अगर चौथाई की मिक़दार हैं तो कुल में दम वरना सदक़ा। चन्द जगह से थोड़े—थोड़े बाल लिये तो सबका मजमुआ अगर चौथाई को पहुँचता है तो दम है वरना सदक़ा। (आलमगीरी, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :— पूरी गर्दन या पूरी एक बग़ल में दम है और कम में सदक़ा अगर्चे आधा या ज़्यादा हो। यही हुक्म नाफ़ के नीचे के बालों का है दोनों बग़लें पूरी मुंडवाये जब भी एक ही दम है(दुर्रे मुख़्तार रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :— पूरा सर चन्द जलसों (बार)में मुंडवाया तो एक ही दम वाजिब है मगर जबकि पहले कुछ हिस्सा मुंडवाकर उसका कफ़्फ़ारा अदा कर दिया फिर दूसरे जलसे में मुंडवाया तो अब नया कफ़्फ़ारा देना होगा यूँही दोनों बग़लें दो जलसों में मुंडवायीं तो एक ही कफ़्फ़ारा है(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :— सर मुंडाया और दम दे दिया फिर उसी जलसा में दाढ़ी मुंडाया तो अब दूसरा दम दे।(आलमगीरी)

मसअ्ला :— सर और दाढ़ी और बग़लें और सारे बदन के बाल एक ही जलसा में मुंडाये तो एक ही कफ़्फ़ारा है और अगर एक—एक उ़ज़्व (अंग)के बाल अलग—अलग जलसे में मुंडाये तो उतने ही कफ़्फ़ारे देने हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :— सर और दाढ़ी और गर्दन और बग़ल और नाफ़ के नीचे के सिवा बाक़ी अअ्ज़ा के मुंडाने में सिर्फ़ सदक़ा है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :— मूँछ अगर्चे पूरी मुंडवाये या कतरवाये सदक़ा है (रद्दुल मुहतार,)

मसअ्ला :— रोटी पकाने में कुछ बाल जल गये तो सदक़ा है। वुज़ू करने या खुजाने या कंघा करने में बाल गिरे उस पर भी पूरा सदक़ा है और बाज़ ने कहा कि दो—तीन बाल तक हर बाल के लिए एक मुट्ठी अनाज या एक टुकड़ा रोटी या एक छुआरा है। (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :— अपने आप बे—हाथ लगाये बाल गिर जायें या बीमारी से तमाम बाल गिर पड़ें तो कुछ नहीं। (मुनसक)

मसअ्ला :— मुहरिम ने दूसरे मुहरिम का सर मूंडा तो मूंडने वाले पर भी सदक़ा है ख़्वाह उसने इसे हुक्म दिया हो या नहीं, खुशी से मूँडा या मजबूर होकर और ग़ैर मुहरिम का मूँडा कुछ ख़ैरात कर दे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :— ग़ैर मुहरिम ने मुहरिम का सर मुंडा उसके हुक्म से या बिला हुक्म तो मुहरिम पर कफ़्फ़ारा है और मूंडने वाले पर सदक़ा और वह मुहरिम उस मूँडने वाले से अपने कफ़्फ़ारा का

तावान (बदला)नहीं ले सकता और अगर मुहरिम ने ग़ैर मुहरिम की मूँछ ली या नाख़ून तराशे तो मिस्कीनों को कुछ सदक़ा दे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :— मूँडना,कतरना, मूचने से बाल उखाड़ना या किसी चीज़ से बाल उड़ाना सबका एक हुक्म है (रद्दुलमुहतार वग़ैरा)

मसअ्ला :— औरत पूरे या चौथाई सर के बाल एक पोरे बराबर कतरे तो दम दे और कम में सदक़ा(मुनसक)

मसअ्ला :— बाल मुंडा कर पछने लिये तो दम है वरना सदक़ा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— आँख में बाल निकल आये तो उनके उखाड़ने में सदक़ा नहीं। (मुनसक)

4. नाख़ून कतरना

मसअ्ला :— एक हाथ एक पाँव के पाँचों नाख़ून काटे या बीसों एक साथ काटे तो एक दम है और अगर किसी हाथ या पाँव के पूरे पाँच न काटे तो हर नाख़ून पर एक सदक़ा यहाँ तक कि अगर चारों हाथ–पाँव के चार–चार–कतरे तो सोलह सदक़े दे मगर यह कि सदक़ों की क़ीमत एक दम के बराबर हो जाये तो कुछ कम कर ले यां दम दे और अगर एक हाथ या पाँव के पाँचों एक जलसे (बार) में और दूसरे के पाँचों दूसरे जलसे (बार) में काटे तो दो दम लाज़िम हैं और चारों हाथ –पाँव के चार जलसों (बार)में काटे तो चार दम हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :— कोई नाख़ून टूट गया कि बढ़ने के क़ाबिल न रहा उसका बक़िया उसने काट लिया तो कुछ नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :— एक ही जलसे (बार) में एक हाथ के पाँचों नाख़ून तराशे और चौथाई सर मुंडाया और किसी उ़ज़्व पर ख़ुश्बू लगाई तो हर एक पर एक–एक दम यानी तीन दम वाजिब हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :— मुहरिम ने दूसरे के नाख़ून तराशे तो वही हुक्म है जो दूसरे के बाल मूंडने का है। (मुनसक)

मसअ्ला :— चाकू और नाख़ूनगीर से तराशना और दाँत से खुटकना सब का एक हुक्म है।

5. बोस व कनार वग़ैरा

मसअ्ला :— मुबाशरते फ़ाहिशा यानी शौहर या मालिक का अपने ज़कर (लिंग)को जिमा की ख़्वाहिश की हालत में कपड़ा हटा कर बीवी या लौंडी की शर्मगाह से सिर्फ़ लगाने और शहवत के साथ चूमने और गोद में लेने और बदन छूने में दम है अगर्चे मनी न निकले और बिला शहवत में कुछ नहीं यह अफ़आ़ल(काम)औरत के साथ हों या मर्द के साथ दोनों का एक हुक्म है।(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :— मर्द के इन अफ़आ़ल से औरत को लज़्ज़त आये तो वह भी दम दे।(जौहरा)

मसअ्ला :— अन्दामे निहानी यानी शर्मगाह पर निगाह करने से कुछ नहीं अगर्चे मनी निकल जाये अगर्चे बार–बार निगाह की हो यूँही ख़्याल जमाने से भी कुछ नहीं (रद्दुल मुहतार, आलमगीरी)

मसअ्ला :— जिल्क़ यानी हाथ से मनी निकालने में अगर मनी निकल जाये तो दम दे वरना मकरूह है और एहतिलाम से कुछ नहीं। (आलमगीरी)

नोट :— हाथ से मनी निकालना किसी भी हालत में सख़्त हराम है और इबादत के मौक़े पर तो और ज़्यादा हराम है।

6. जिमाअ़ (हमबिस्तरी)

मसअ्ला :— वुक़ूफ़े अ़रफ़ा से पहले जिमाअ़ किया तो हज फ़ासिद हो गया उसे हज की तरह पूरा

करके दम दे और आने वाले पहले ही साल में उसकी क़ज़ा कर ले। औरत भी हज के एहराम में थी तो उस पर भी यही लाज़िम है और अगर इस बला में फिर पड़ जाने का ख़ौफ़ हो तो मुनासिब है कि क़ज़ा के एहराम से ख़त्म तक दोनों ऐसे जुदा रहें कि एक दूसरे का न देखें (आलमगीरी)

मसअ्ला :– वुकूफ़ के बाद जिमाअ् से हज तो न जायेगा मगर हल्क़ व तवाफ़ से पहले किया तो बदना दे और हल्क़ के बाद किया तो दम दे और बेहतर अब भी बदना है और हल्क़ व तवाफ़ दोनों के बाद किया तो कुछ नहीं, तवाफ़ से मुराद अकसर है यानी चार फेरे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़स्दन जिमाअ् हो या भूले से या सोते में या ज़बरदस्ती सब का एक हुक्म है।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– वुकूफ़ से पहले औरत से ऐसे बच्चे ने वती (जिमाअ्)की जिसका मिस्ल जिमाअ् करता है या मजनू (पागल)ने जिमाअ् की तो औरत का हज फ़ासिद हो जायेगा यूँही मर्द ने मुश्तहात लड़की या मजनू (पगली) से वती की हज फ़ासिद हो गया मगर बच्चा और मजनून पर न दम वाजिब है न क़ज़ा। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– वुकूफ़े अरफ़ा से पहले चन्द बार जिमाअ् किया अगर एक ही मजलिस में है तो एक दम वाजिब है और दो मुख़्तलिफ़ मजलिसों में जिमाअ् किया तो दो दम वाजिब हैं और अगर दूसरी बार एहराम तोड़ने के क़स्द से जिमाअ् किया तो बहर हाल एक ही दम वाजिब है चाहे एक ही मजलिस में हो या कई मजलिसों में। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– वुकूफ़े अरफ़ा के बाद सर मुंडाने से पहले चन्द बार जिमाअ् किया अगर एक मजलिस में है तो एक बदना और दो मजलिसों में है तो एक बदना और एक दम, और अगर दूसरी बार एहराम तोड़ने के इरादे से जिमाअ् किया तो इस बार कुछ नहीं। (रद्दुल मुहतार,आलमगीरी)

मसअ्ला :– जानवर या मुर्दा या बहुत छोटी लड़की से जिमाअ् किया तो हज फ़ासिद न होगा इन्ज़ाल हो या नहीं मगर इन्ज़ाल हुआ तो दम लाज़िम है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– औरत ने जानवर से वती कराई या किसी आदमी या जानवर का कटा हुआ आला अपनी शर्मगाह के अन्दर रख लिया तो हज फ़ासिद हो गया। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– उ़मरा में चार फेरे से क़ब्ल जिमाअ् किया उ़मरा जाता रहा दम दे और उ़मरा की क़ज़ा दे और चार फेरों के बाद किया तो दम दे उ़मरा सही है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– उ़मरा करने वाले ने चन्द बार कई मजलिसों में जिमाअ् किया तो हर बार दम वाजिब है और तवाफ़ व सई के बाद हल्क़ से पहले किया जब भी दम वाजिब है और हल्क़ के बाद तो कुछ नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़िरान वाले ने उ़मरा के तवाफ़ से पहले जिमाअ् किया तो हज व उ़मरा दोनों फ़ासिद हो गये मगर दोनों के तमाम अफ़आल बजा लाये(पूरा करे) और दो दम दे और आइन्दा साल हज व उ़मरा करे और अगर उ़मरा का तवाफ़ कर चुका है और वुकूफ़े अरफ़ा से पहले जिमाअ् किया तो उ़मरा फ़ासिद न हुआ हज फ़ासिद हो गया दो दम दे और आइन्दा साल हज की क़ज़ा दे और अगर वुकूफ़ के बाद जिमाअ् किया तो न हज फ़ासिद हुआ न उ़मरा एक बदना और एक दम दे और कुर्बानी। (मुनसक)

मसअ्ला :– हज फ़ासिद होने के बाद दूसरे हज का एहराम उसी साल बाँधा तो दूसरा नहीं है बल्कि वही है जिसे उस ने फ़ासिद कर दिया इस तरकीब से आइन्दा साल की क़ज़ा से नहीं बच सकता। (रद्दुल मुहतार)

7. तवाफ़ में ग़लतियाँ

मसअ्ला :– तवाफ़ फ़र्ज़ कुल या अकसर यानी चार फेरे जनाबत (नापाकी)या हैज़ व निफ़ास में किया तो बदना है और–बे वुज़ू किया तो दम है और पहली सूरत में तहारत (पाकी)के साथ इआदा यानी फिर से तवाफ़ करना वाजिब है और अगर मक्का से चला गया हो तो वापस आकर इआदा करे अगर्चे मीक़ात से भी आगे बढ़ गया हो मगर बारहवीं तारीख़ तक अगर कामिल तौर पर इआदा कर लिया तो जुर्माना साक़ित हो गया और बारहवीं के बाद किया तो दम लाज़िम है बदना साक़ित हो गया लिहाज़ा अगर तवाफ़े फ़र्ज़ बारहवीं के बाद किया है तो बदना साक़ित न होगा कि बारहवीं तो गुज़र गई और अगर तवाफ़े फ़र्ज़ बे–वुज़ू किया था तो इआदा मुस्तहब है फिर इआदा से दम साक़ित हो गया अगर्चे बारहवीं के बाद किया हो। (जौहरा, आलमगीरी)

मसअ्ला :– चार फेरे से कम बे तहारत किया तो हर फेरे के बदले सदक़ा और जनाबत (नापाकी)में किया तो दम दे फिर अगर बारहवीं तक इआदा कर लिया तो दम साक़ित और बारहवीं के बाद इआदा किया तो हर फेरे के बदले एक सदक़ा दे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– तवाफ़े फ़र्ज़ कुल या अकसर बिला उज़्र चल कर न किया बल्कि सवारी पर या गोद में या घसिट कर या बग़ैर सत्र के किया मसलन औरत की चौथाई कलाई या चौथाई सर के बाल खुले थे या उल्टा तवाफ़ किया या हतीम के अन्दर से तवाफ़ में गुज़रा या बारहवीं के बाद किया तो इन सब सूरतों में दम दे और सही तौर पर इआदा कर लिया तो दम साक़ित हो गया और बग़ैर इआदा किये चला आया तो बकरी या उसकी क़ीमत भेज दे कि हरम में ज़िबह कर दी जाये वापस आने की ज़रूरत नहीं। (आलमगीरी, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जनाबत में तवाफ़ करके घर चला गया तो फिर से नया एहराम बाँध कर वापस आये और वापस न आया बल्कि बदना भेज दिया तो भी काफ़ी है मगर अफ़ज़ल वापस आना है और बे–वुज़ू किया था तो वापस आना भी जाइज़ है और बेहतर यह है वहीं से बकरी या क़ीमत भेज दे।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– तवाफ़े फ़र्ज़ चार फेरे करके चला गया यानी तीन या दो या एक फेरा बाक़ी है तो दम वाजिब है अगर खुद न आया भेज दिया तो काफ़ी है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– फ़र्ज़ के सिवा कोई और तवाफ़ कुल या अकसर जनाबत में किया तो दम दे और बे–वुज़ू किया तो सदक़ा और तीन फेरे या इससे से कम जनाबत में किये तो हर फेरे के बदले एक सदक़ा दे फिर अगर मक्कए मुअज़्ज़मा में है तो सब सूरतों में इआदा कर ले कफ़्फ़ारा साक़ित हो जायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– तवाफ़े रुख़सत कुल या अक्सर तर्क किया (छोड़ दिया)तो दम लाज़िम है और चार फेरों से कम छोड़ा तो हर फेरे के बदले में एक सदक़ा दे और तवाफ़े क़ुदूम छोड़ दिया तो कफ़्फ़ारा नहीं मगर बुरा किया और तवाफ़े उमरा का एक फेरा भी तर्क करेगा तो दम लाज़िम होगा और बिल्कुल न किया या अकसर तर्क किया तो कफ़्फ़ारा नहीं बल्कि उसका अदा करना लाज़िम है। (मुनसक)

मसअ्ला :– क़ारिन ने तवाफ़े क़ुदूम व तवाफ़े उमरा दोनों बे–वुज़ू किये तो दसवीं से पहले तवाफ़े उमरा का इआदा करे और अगर इआदा न किया यहाँ तक कि दसवीं तारीख़ की फ़ज्र तुलूअ हो गई तो दम वाजिब और तवाफ़े फ़र्ज़ में रमल व सई करे। (मुनसक)

मसअला :– नजिस (नापाक) कपड़ों में तवाफ़ मकरूह है कफ़्फ़ारा नहीं। (आलमगीरी वगै़रा)

मसअला :– तवाफ़े फ़र्ज़ जनाबत में किया था और बारहवीं तक उसका इआदा भी न किया अब तेरहवीं को तवाफ़े रुख़सत तहारत(पाकी) के साथ किया तो यह तवाफ़े रुख़सत तवाफ़े फ़र्ज़ के क़ाइम मक़ाम हो जायेगा और तवाफ़े रुख़सत के छोड़ने और तवाफ़े फ़र्ज़ में देर करने की वजह से उस पर दो दम लाज़िम हैं और अगर बारहवीं को तवाफ़े रुख़सत किया है तो यह तवाफ़े फ़र्ज़ की जगह होगा और चूँकि तवाफ़े रुख़सत न किया लिहाज़ा एक दम लाज़िम है और अगर तवाफ़े रुख़सत दोबारा कर लिया तो यह दम भी साक़ित हो गया और अगर तवाफ़े फ़र्ज़ बे–वुज़ू किया था और यह तवाफ़ बा–वुज़ू तो एक दम है और अगर तवाफ़े फ़र्ज़ बे–वुज़ू किया था और तवाफ़े रुख़सत जनाबत में तो दो दम हैं। (आलमगीरी)

मसअला :– तवाफ़े फ़र्ज़ के तीन फेरे किये और तवाफ़े रुख़सत पूरा किया तो इसमें के चार फेरे तवाफ़े फ़र्ज़ में शुमार हो जायेंगे और दो दम लाज़िम होंगे एक तवाफ़े फ़र्ज़ में देर करने का दूसरा तवाफ़े रुख़सत के चार फेरे छोड़ने का और अगर हर एक के तीन–तीन फेरे किये तो कुल फ़र्ज़ में शुमार होंगे और दो दम वाजिब होंगे। (आलमगीरी) इस मसअला में फ़ुरूअ़ बहुत हैं मसअला के बढ़ जाने के ख़ौफ़ से ज़िक्र न किये।

8.सई में ग़लतियाँ

मसअला :– सई के चार फेरे या ज़्यादा बिला उ़ज़्र छोड़ दिये या सवारी पर किये तो दम दे और हज हो गया और चार से कम में हर फेरे के बदले सदक़ा दे और इआदा कर लिया तो दम व सदक़ा साक़ित हो गये और उ़ज़्र के सबब ऐसा हुआ तो माफ़ है यही हर वाजिब का हुक्म है कि सही उ़ज़्र से तर्क कर सकता है। (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– तवाफ़ से पहले सई की और इआदा न किया तो दम दे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– जनाबत में या बे–वुज़ू तवाफ़ करके सई की तो सई के इआदा की हाजत नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– सई में एहराम या ज़मानए हज शर्त नहीं,न की हो तो जब चाहे कर ले अदा हो जाएगी।(जौहरा)

9. वुक़ूफ़े अ़रफ़ा में ग़लती

मसअला :– जो शख़्स ग़ुरूबे आफ़ताब से पहले अ़रफ़ात से चला गया दम दे फिर अगर ग़ुरूब से पहले वापस आया तो दम साक़ित हो गया और ग़ुरूब के बाद वापस हुआ तो दम साक़ित नहीं हुआ और अ़रफ़ात से चला आना चाहे इख़्तियार से हो या बिला इख़्तियार मसलन ऊँट पर सवार था वह उसे ले भागा दोनों सूरत में दम है। (आलमगीरी, जौहरा)

10.वुक़ूफ़े मुज़दलेफ़ा में ग़लती

मसअला :– दसवीं की सुबह को मुज़दलेफ़ा में बिला उ़ज़्र वुक़ूफ़ न किया तो दम दे हाँ कमज़ोर या औरत भीड़ के ख़ौफ़ से वुक़ूफ़ तर्क करे तो जुर्माना नहीं।(जौहरा)

11.रमी की ग़लतियाँ

मसअला :– किसी दिन भी रमी नहीं की या एक दिन की बिल्कुल या अकसर तर्क कर दी मसलन दसवीं को तीन कंकरियाँ तक मारी या ग्यारहवीं वग़ैरा को दस कंकरियाँ तक मारीं या किसी दिन की बिल्कुल या अकसर रमी दूसरे दिन की तो इन सब सूरतों में दम है और अगर किसी दिन की

आधी से कम छोड़ीं मसलन दसवीं को चार कंकरियाँ मारीं,तीन छोड़ दीं या और दिनों की ग्यारह मारीं दस छोड़ दीं या दूसरे दिन रमी की तो हर कंकरी पर एक सदका दे और अगर सदकों की कीमत दम के बराबर हो जाये तो कुछ कम कर दे। (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

12.कुर्बानी और हल्क़ में ग़लतियाँ

मसअ्ला :– हरम में हल्क़ न किया हुदूदे हरम से बाहर किया या बारहवीं के बाद किया या रमी से पहले किया या क़ारिन व मुतमत्तेअ् ने कुर्बानी से पहले हल्क़ किया या इन दोनों ने रमी से पहले कुर्बानी की तो इन सब सूरतों में दम है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– उमरा का हल्क़ भी हरम ही में होना ज़रूरी है इसका हल्क़ भी हरम से बाहर हुआ तो दम है मगर इसमें वक़्त की शर्त नहीं ज़िन्दगी में जब चाहे दम दे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :– हज करने वाले ने बारहवीं के बाद हरम से बाहर सर मुंडाया तो दो दम है एक हरम से बाहर हल्क़ करने का दूसरा बारहवीं के बाद होने का। (रद्दुलमुहतार)

13.शिकार करना

मसअ्ला :– खुश्की का वहशी जानवर यानी वह जानवर जो इन्सानों से डरकर भागते हों जैसे हिरन वग़ैरा का शिकार करना या उस की तरफ़ शिकार करने को इशारा करना या और किसी तरह बताना यह सब काम हराम हैं और सब में कफ़्फ़ारा वाजिब है अगर्चे उसके खाने में मुज़तर (मजबूर) हो यानी भूक से मरा जाता हो और कफ़्फ़ारा उसकी क़ीमत है यानी दो आदिल वहाँ के हिसाब से जो कीमत बता दें वह देनी होगी और अगर वहाँ उसकी कोई क़ीमत न हो तो वहाँ से क़रीब जगह में जो क़ीमत हो वह है और अगर एक ही आदिल ने बता दिया जब भी काफ़ी है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– पानी के जानवर का शिकार करना जाइज़ है पानी के जानवर से मुराद वह जानवर है जो पानी में पैदा हुआ हो अगर्चे ख़ुश्की में भी कभी–कभी रहता हो और खुश्की का जानवर वह है जिसकी पैदाइश ख़ुश्की की हो अगर्चे पानी में रहता (मुनसक)

मसअ्ला :– शिकार की क़ीमत में इख़्तियार है कि उससे भेड़ बकरी वग़ैरा अगर ख़रीद सकता है तो ख़रीद कर हरम में ज़िबह करके फ़ुक़रा (फ़क़ीरों) को तक़सीम कर दे या उसका ग़ल्ला ख़रीद कर मिस्कीनों पर सदक़ा कर दे इतना–इतना कि हर मिस्कीन को सदक़ए फ़ित्र की क़द्र पहुँचे और यह भी हो सकता है कि उस क़ीमत के ग़ल्ले में जितने सदके हो सकते हों हर सदक़ा के बदले एक रोज़ा रखे और अगर कुछ ग़ल्ला बच जाये जो पूरा सदक़ा नहीं तो इख़्तियार है वह किसी मिस्कीन को दे दे या उसके बदले एक रोज़ा रखे और अगर पूरी क़ीमत एक सदक़ा के लाइक़ भी नहीं तो भी इख़्तियार है कि उतने का ग़ल्ला ख़रीद कर एक मिस्कीन को दे दे या उसके बदले एक रोज़ा रखे। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– कफ़्फ़ारा का जानवर हरम के बाहर ज़िबह किया तो कफ़्फ़ारा अदा न हुआ और अगर उस में से खुद भी खा लिया तो उतने का तावान (दण्ड) दे और अगर इस कफ़्फ़रा के गोश्त को एक मिस्कीन पर सदक़ा किया जब भी जाइज़ है यूँही तावान की क़ीमत भी एक मिस्कीन को दे सकता है और अगर जानवर को हरम से बाहर ज़िबह किया और उसका गोश्त उतनी क़ीमत का है जितनी क़ीमत का ग़ल्ला ख़रीदा जाता तो अदा हो गया। (आलमगीरी रद्दुल मुहतार)

मसअला :– कफ़्फ़ारा का जानवर चोरी गया या ज़िन्दा जानवर ही सदका कर दिया तो नाकाफ़ी है और अगर ज़िबह कर दिया और गोश्त चोरी हो गया तो अदा हो गया। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– क़ीमत का ग़ल्ला सदका करने की सूरत में हर मिस्कीन को सदका की मिक़दार देना ज़रूरी है कम व बेश देगा तो अदा न होगा कम–कम दिया तो कुल नफ़्ल सदका है और ज़्यादा–ज़्यादा दिया तो एक सदका से जितना ज़्यादा दिया नफ़्ल सदका है यह उस सूरत में है कि एक ही दिन में दिया हो और अगर कई दिन में दिया और हर रोज़ पूरा सदका तो यूँ एक मिस्कीन को कई सदके दे सकता है और यह भी हो सकता है कि हर मिस्कीन को एक–एक सदका की क़ीमत दे दे। (रद्दुल मुहतार दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मुहरिम ने जंगल के जानवर को ज़िबह किया तो हलाल न हुआ बल्कि मुर्दार है तो ज़िबह करने के बाद उसे खा भी लिया तो अगर कफ़्फ़ारा देने के बाद खाया तो अब फिर खाने का कफ़्फ़ारा दे और अगर नहीं दिया था तो एक ही कफ़्फ़ारा काफ़ी है। (जौहरा)

मसअला :– जितनी क़ीमत उस शिकार की तजवीज़ हुई (बताई गई)उसका जानवर ख़रीद कर ज़िबह किया और क़ीमत में से बच रहा तो बक़िया का ग़ल्ला ख़रीद कर सदका करे या हर सदके के बदले एक रोज़ा रखे या कुछ रोज़े रखे कुछ सदका दे सब जाइज़ है यूँही अगर वह क़ीमत दो जानवरों के ख़रीदने के लाइक़ है तो चाहे दो जानवर ज़िबह करे या एक ज़िबह करे और एक के बदले का सदका दे या रोज़े रखे हर तरह का इख़्तियार है। (आलमगीरी)

मसअला :– एहराम वाले ने हरम का जानवर शिकार किया तो उसका भी यही हुक्म है हरम की वजह से दोहरा कफ़्फ़ारा वाजिब न होगा और अगर बग़ैर एहराम के हरम में शिकार किया तो उसका भी वही कफ़्फ़ारा है जो मुहरिम के लिये है मगर इसमें रोज़ा काफ़ी नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– जंगल के जानवर से मुराद वह है जो ख़ुश्की में पैदा होता है अगर्चे पानी में रहता हो लिहाज़ा मुर्ग़ाबी और वहशी बतख़ का शिकार करने का भी यही हुक्म है और पानी का जानवर वह है जिसकी पैदाइश पानी में होती है अगर्चे कभी–कभी ख़ुश्की में रहता हो घरेलू जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी अगर जंगल में रहने के सबब इन्सान से वहशत करें तो वहशी नहीं और वहशी जानवर किसी ने पाल लिया तो अब भी जंगल ही का जानवर शुमार किया जायेगा अगर पालतू हिरन शिकार किया तो उसका भी वही हुक्म है जंगल का जानवर अगर किसी की मिल्क हो जाये मसलन पकड़ लाया या पकड़ने वाले से मोल लिया तो उसके शिकार करने का भी वही हुक्म है। (आलमगीरी)

मसअला :– हराम और हलाल जानवर दोनों के शिकार का एक हुक्म है मगर हराम जानवर के क़त्ल करने में कफ़्फ़ारा एक बकरी से ज़्यादा नहीं है अगर्चे उस जानवर की क़ीमत एक बकरी से बहुत ज़्यादा हो मसलन हाथी को क़त्ल किया तो सिर्फ़ एक बकरी कफ़्फ़ारे में वाजिब है।(रद्दुल मुहतार)

मसअला :– सिखाया हुआ जानवर क़त्ल किया तो कफ़्फ़ारा में वही क़ीमत वाजिब है जो बे–सिखाये की है अलबत्ता अगर वह किसी की मिल्क है तो कफ़्फ़ारे के अलावा उसके मालिक को सिखाये हुए की क़ीमत दे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– कफ़्फ़ारा लाज़िम आने के लिए क़स्दन क़त्ल करना शर्त नहीं भूल–चूक से क़त्ल हुआ जब भी कफ़्फ़ारा है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– जानवर को ज़ख़्मी कर दिया मगर मरा नहीं या उसके बाल या पर नोचे या कोई उ़ज़्व काट डाला तो इसकी वजह से जो कुछ उस जानवर में कमी हुई वह कफ़्फ़ारा है और अगर ज़ख़्म की वजह से मर गया तो पूरी क़ीमत वाजिब है। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– ज़ख़्म खाकर भाग गया और मालूम है कि मर गया या मालूम नहीं कि मर गया या ज़िन्दा है तो क़ीमत वाजिब है और अगर मालूम है कि मर गया मगर इस ज़ख़्म के सबब से नहीं बल्कि किसी और सबब से मरा तो ज़ख़्म की जज़ा (बदला) दे और बिल्कुल अच्छा हो गया जब भी कफ़्फ़ारा साकित न होगा। (रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला :– जानवर को ज़ख़्मी किया फिर उसे क़त्ल कर डाला तो ज़ख़्म व क़त्ल दोनों का अलग–अलग कफ़्फ़ारा दे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जानवर जाल में फँसा हुआ था या किसी दरिन्दे ने उसे पकड़ा था इसने छुड़ाना चाहा तो अगर मर भी जाये जब भी कुछ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– परिन्द के पर नोच डाले कि उड़ न सके या चौपाया के हाथ–पाँव काट डाले कि भाग न सके तो पूरे जानवर की क़ीमत वाजिब है और अन्डा तोड़ा या भूना तो उसकी क़ीमत दे मगर जबकि गन्दा हो तो कुछ वाजिब नहीं अगर्चे उसका छिलका क़ीमती हो जैसे शुतुरमुर्ग़ का अन्डा कि लोग उसे ख़रीद कर ब–तौरे नुमाइश रखते हैं अगर्चे गन्दा हो। अन्डा तोड़ा उसमें से बच्चा मरा हुआ निकला तो बच्चे की क़ीमत दे और जंगल के जानवर का दूध दूहा तो दूध की क़ीमत दे और बाल कतरे तो बालों की क़ीमत दे। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– परिन्द के पर नोच डाले या चौपाया के हाथ–पाँव काट डाले फिर कफ़्फ़ारा देने से पहले उसे क़त्ल कर डाला तो एक ही कफ़्फ़ारा अदा करने के बाद क़त्ल किया तो दो कफ़्फ़ारे हैं एक ज़ख़्म वग़ैरा का दूसरा क़त्ल का और अगर ज़ख़्मी किया फिर वह जानवर ज़ख़्म के सबब मर गया तो एक ही कफ़्फ़ारा है चाहे मरने से पहले दिया हो या बाद में। (मुनसक, आलमगीरी)

मसअ्ला :– जंगल के जानवर का अन्डा भूना या दूध दूहा और कफ़्फ़ारा अदा कर दिया तो अब उसका खाना ह़राम नहीं और बेचना भी जाइज़ है मगर मकरूह है और जानवर का कफ़्फ़ारा दिया और खाया तो फिर कफ़्फ़ारा दे और दूसरे मुह़रिम ने खा लिया तो उस पर कफ़्फ़ारा नहीं अगर्चे खाना ह़राम था कि वह मुर्दार है। (जौहरा, रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला :– जंगल के जानवर का अन्डा उठा लाया और मुर्ग़ी के नीचे रख दिया अगर गन्दा हो गया तो उसकी क़ीमत दे और उससे बच्चा निकला और बड़ा होकर उड़ गया तो कुछ नहीं और अगर अन्डे पर से जानवर को उड़ा दिया और अन्डा गन्दा हो गया तो कफ़्फ़ारा वाजिब है। (मुनसक)

मसअ्ला :– हिरनी को मारा उसके पेट में बच्चा था वह मरा हुआ गिरा तो उस बच्चे की क़ीमत का कफ़्फ़ारा दे और हिरनी बाद को मर गई तो उसकी क़ीमत भी दे और अगर न मरी तो उसकी वजह से जितना उसमें नुक़सान आया वह कफ़्फ़ारा में दे और अगर बच्चा नहीं मरा मगर हिरनी मर गई तो हालते ह़मल में जो उसकी क़ीमत थी वह दे। (जौहरा)

मसअ्ला :– कौआ, चील, भेड़िया, बिच्छू, साँप, चूँस, छछूँदर, कटखना कुत्ता, पिस्सू, मच्छर, किल्ली, कछुआ, केकड़ा, पतिंगा, काटने वाली चींटी, मक्खी छिपकली, बर और तमाम ह़शरातुल अर्द (ज़मीनी

कीड़े मकोड़े) बिज्जू, लोमड़ी, गीदढ़ जबकि यह दरिन्दे हमला करें या जो दरिन्दे ऐसे हों जिनकी आदत अकसर पहले हमला करने की होती है जैसे शेर, चीता, तेंदुआ, इन सबके मारने में कुछ नहीं यूँही पानी के तमाम जानवरों के क़त्ल में कफ़्फ़ारा नहीं। (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– हिरन व बकरी से बच्चा पैदा हुआ तो उसके क़त्ल में कुछ नहीं, हिरनी और बकरे से बच्चा पैदा हुआ तो कफ़्फ़ारा वाजिब। (दुर्रे मुख़्तार ,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ग़ैर मुहरिम ने शिकार किया तो मुहरिम उसे खा सकता है अगर्चे उसने इसी मुहरिम के लिए किया हो जबकि इस मुहरिम ने न उसे बताया न हुक्म किया न किसी और तरह उस काम में मदद की हो और यह शर्त भी है कि हरम से बाहर उसे ज़िबह किया हो। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– बताने वाले, इशारा करने वाले पर कफ़्फ़ारा उस वक़्त लाज़िम है कि(1)जिसे बताया वह उसकी बात झूटी न जाने(2)और बे उसके बताये वह जानता भी न हो (3)और उसके बताने पर फ़ौरन उसने मार भी डाला हो (4)और वह जानवर वहाँ से भाग न गया हो (5)और यह बताने वाला जानवर के मारे जाने तक एहराम में हो अगर इन पाँचों शर्तों में एक न पाई जाये तो कफ़्फ़ारा नहीं,रहा गुनाह वह हर हाल में है। (दुर्रे मुख़्तार,जौहरा)

मसअ्ला :– एक मुहरिम ने किसी को शिकार का पता दिया मगर उसने न उसे सच्चा जाना न झूटा फिर दूसरे ने ख़बर दी अब उसने शिकार को ढूँढा और जानवर को मारा तो दोनों बताने वालों पर कफ़्फ़ारा है और अगर पहले को झूटा समझा तो सिर्फ़ दूसरे पर है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मुहरिम ने शिकार का हुक्म दिया तो कफ़्फ़ारा बहरहाल लाज़िम है अगर्चे जानवर खुद मारने वाले के इल्म में है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– एक मुहरिम ने दूसरे मुहरिम को शिकार करने का हुक्म दिया और दूसरे ने खुद न किया बल्कि उसने तीसरे मुहरिम को हुक्म दिया अब तीसरे ने शिकार किया तो पहले पर कफ़्फ़ारा नहीं और दूसरे और तीसरे पर कफ़्फ़ारा लाज़िम है और अगर पहले ने दूसरे से कहा कि तू फ़लाँ को शिकार का हुक्म दे और उसने हुक्म दिया तो तीनों पर जुर्माना लाज़िम है। (मुनसक)

मसअ्ला :– ग़ैर मुहरिम ने मुहरिम को शिकार बताया या हुक्म किया तो गुनाहगार हुआ, तोबा करे उस ग़ैर मुहरिम पर कफ़्फ़ारा नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मुहरिम ने जिसे बताया वह मुहरिम हो या न हो बहरहाल बताने वाले मुहरिम पर कफ़्फ़ारा लाज़िम है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– कई शख़्सों ने मिलकर शिकार किया तो सब पर पूरा–पूरा कफ़्फ़ारा वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– टिड्डी भी खुश्की का जानवर है उसे मारे तो कफ़्फ़ारा दे और एक खजूर काफ़ी है। (जौहरा)

मसअ्ला :– मुहरिम ने जंगल का जानवर ख़रीदा या बेचा तो बैअ् (ख़रीदना–बेचना)बातिल है फिर बाए (बेचने वाले)और मुश्तरी (ख़रीदने वाले)दोनों मुहरिम हैं और जानवर हलाक हुआ तो दोनों पर कफ़्फ़ारा है यह हुक्म उस वक़्त है कि एहराम की हालत में पकड़ा और एहराम ही में बेचा और अगर पकड़ने के वक़्त मुहरिम न था और बेचने के वक़्त है तो बैअ् फ़ासिद है और अगर पकड़ने के वक़्त मुहरिम था और बेचने के वक़्त नहीं है तो बैअ् जाइज़ है। (जौहरा)ग़ैर मुहरिम ने ग़ैर मुहरिम के हाथ जंगल का जानवर बेचा और मुश्तरी ने अभी क़ब्ज़ा न किया था कि दोनों में से एक ने एहराम बाँध लिया तो अब वह बैअ् बातिल हो गई। (जौहरा)

मसअला :– एहराम बाँधा और उसके हाथ में जंगल का जानवर है तो हुक्म है कि छोड़ दे और न छोड़ा यहाँ तक कि मर गया तो ज़मान (दण्ड)दे मगर छोड़ने से उसकी मिल्क से नहीं निकलता जबकि एहराम से पहले पकड़ा था और यह भी शर्त है कि हरम के बाहर पकड़ा हो लिहाज़ा अगर उसे किसी ने पकड़ लिया तो मालिक उससे ले सकता है जबकि एहराम से निकल चुका हो और अगर किसी और ने उसके हाथ से छुड़ा दिया तो यह छुड़ाने वाला तावान दे और अगर जानवर उसके घर है तो कुछ मुज़ाइक़ा (हरज) नहीं या पास ही है मगर पिंजरे में है तो जब तक हरम से बाहर है छोड़ना ज़रूरी नहीं लिहाज़ा अगर मर गया तो कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं। (जौहरा, आलमगीरी)

मसअला :– मुहरिम ने जानवर पकड़ा तो उसकी मिल्क न हुआ हुक्म है कि छोड़ दे अगर्चे पिंजरे में हो या घर पर हो और उसे कोई पकड़ ले तो एहराम के बाद उस से नहीं ले सकता और अगर किसी दूसरे ने छोड़ दिया तो उस से तावान नहीं ले सकता और दूसरे मुहरिम ने मार डाला तो दोनों पर कफ़्फ़ारा है मगर पकड़ने वाले ने जो कफ़्फ़ारा दिया है वह मारने वाले से वुसूल कर सकता है (जौहरा, आलमगीरी)

मसअला :– मुहरिम ने जंगल का जानवर पकड़ा तो उस पर लाज़िम है कि जंगल में या किसी ऐसी जगह छोड़े जहाँ वह पनाह ले सके अगर शहर में लाकर छोड़ा जहाँ उसे पकड़ने का अन्देशा है तो जुर्माना देना होगा। (मुनसक)

मसअला :– किसी ने ऐसी जगह शिकार देखा कि मारने के लिए तीर कमान, गुलैल, बन्दूक़ वग़ैरा की ज़रूरत है और मुहरिम ने यह चीज़ें उसे दीं तो उस मुहरिम पर पूरा कफ़्फ़ारा लाज़िम है और शिकार ज़िबह करना है इसके पास ज़िबह करने की चीज़ नहीं मुहरिम ने छुरी दी तो कफ़्फ़ारा है और अगर इसके पास ज़िबह करने की चीज़ है और मुहरिम ने छुरी दी तो कफ़्फ़ारा नहीं मगर कराहत है। (आलमगीरी)

मसअला :– मुहरिम ने जानवर पर अपना कुत्ता या सिखाया हुआ बाज़ छोड़ा उसने शिकार को मार डाला तो कफ़्फ़ारा वाजिब और अगर एहराम की वजह से शरीअत के हुक्म की तामील के लिए बाज़ छोड़ दिया उस ने जानवर को मार डाला या सुखाने के लिए जाल फैलाया उसमें जानवर फँस कर मर गया या कुँआ खोदा था उसमें गिर कर मरा तो इन सूरतों में कफ़्फ़ारा नहीं। (आलमगीरी)

14. हरम के जानवर को ईज़ा देना

मसअला :– हरम के जानवर को शिकार करना या उसे किसी तरह ईज़ा (तकलीफ़)देना सब को हराम है। मुहरिम और ग़ैर मुहरिम दोनों इस हुक्म में बराबर हैं ग़ैर मुहरिम ने हरम के जंगल का जानवर ज़िबह किया तो उसकी क़ीमत वाजिब है। और उस क़ीमत के बदले रोज़ा नहीं रख सकता और मुहरिम है तो रोज़ा भी रख सकता है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मुहरिम ने अगर हरम का जानवर मारा तो एक ही कफ़्फ़ारा वाजिब होगा दो नहीं और अगर वह जानवर किसी का है तो मालिक को उसकी क़ीमत भी दे फिर अगर सिखाया हुआ हो मसलन तोती तो मालिक को वह क़ीमत दे जो सीखे हुए की है और कफ़्फ़ारा में बे–सिखाए हुए की क़ीमत दे। (मुनसक)

मसअला :– जो हरम में दाख़िल हुआ और उसके पास कोई वहशी जानवर हो अगर्चे पिंजरे में हो

तो हुक्म है कि उसे छोड़ दे फिर अगर वह शिकारी जानवर बाज़, शिकरा, बहरी वग़ैरा है और उसने शरीअ़त के इस हुक्म पर अ़मल करने के लिए उसे छोड़ा उस जानवर ने ख़ुद शिकार किया तो उसके ज़िम्मे तावान नहीं और शिकार पर छोड़ा तो तावान है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :— एक शख़्स ने दूसरे का वहशी जानवर ग़सब करके हरम में लाया तो वाजिब है कि छोड़ दे और मालिक को क़ीमत दे और न छोड़ा बल्कि मालिक को वापस दिया तो तावान दे। ग़सब के बाद एहराम बाँधा जब भी यही हुक्म है। (रद्दुल मुहतार वग़ैरा)

मसअ्ला :— दो ग़ैर मुहरिम ने हरम के जानवर को एक ज़र्ब में मार डाला तो दोनों आधी–आधी क़ीमत दें यूँही अगर बहुत से लोगों ने मारा तो सब पर वह क़ीमत तक़सीम हो जायेगी और अगर उनमें कोई मुहरिम भी है तो अ़लावा उसके जो मुहरिम के हिस्से में पड़ा अलग से पूरी क़ीमत भी कफ़्फ़ारा में दे और एक ने पहले ज़र्ब लगाई फिर दूसरे ने लगाई तो हर एक की ज़र्ब से उसकी क़ीमत में जो कमी हुई वह दे फिर बाक़ी क़ीमत दोनों पर तक़सीम हो जायेगी इस बक़िया का आधा–आधा दोनों दें। (आलमगीरी,मुनसक)

मसअ्ला :— एक ने हरम का जानवर पकड़ा दूसरे ने मार डाला तो दोनों पूरी पूरी क़ीमत दें और पकड़ने वाले को इख़्तियार है कि दूसरे से तावान वुसूल कर ले। (आलमगीरी)

मसअ्ला :— चन्द शख़्स मुहरिम मक्का के किसी मकान में ठहरे उस मकान में कबूतर रहते थे सब ने एक से कहा दरवाज़ा बन्द कर दे उसने दरवाज़ा बन्द कर दिया और सब मिना को चले गये वापस आये तो कबूतर प्यास से मरे हुए मिले तो सब पूरा–पूरा कफ़्फ़ारा दें। (आलमगीरी)

मसअ्ला :— जानवर का कुछ हिस्सा हरम में हो और कुछ बाहर तो अगर खड़ा हो और उसके सब पाँव हरम में हों या एक ही पाँव हरम में हो तो वह हरम का जानवर है उस को मारना हराम है अगर्चे सर हरम से बाहर है और अगर सिर्फ़ सर हरम में है और पाँव सब के सब बाहर तो क़त्ल पर जुर्माना लाज़िम नहीं और अगर लेटा सोया है और कोई हिस्सा भी हरम से बाहर था इसने तीर छोड़ा वह जानवर भागा और तीर उसे उस वक़्त लगा कि हरम में पहुँच गया था तो जुर्माना लाज़िम और अगर तीर लगने के बाद भाग कर हरम में गया और वहीं मर गया तो जुर्माना नहीं मगर उसका खाना हलाल नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :— जानवर हरम में नहीं मगर यह शिकार करने वाला हरम में है और हरम ही से तीर छोड़ा तो जुर्माना वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :— जानवर और शिकारी दोनों हरम से बाहर हैं मगर तीर हरम से होता गुज़रा तो इसमें भी बाज़ उ़लमा तावान वाजिब करते हैं दुर्रे मुख़्तार में यही लिखा है मगर बहरुर्राइक़ व लुबाब में तसरीह है कि इसमें तावान नहीं और अ़ल्लामा शामी ने फ़रमाया कलामे उ़लमा से यह साबित। कुत्ता या बाज़ वग़ैरा शिकारी जानवर छोड़ा और हरम से होता हुआ गुज़रा उसका भी यही हुक्म है।

मसअ्ला :— जानवर हरम से बाहर था उस पर कुत्ता छोड़ा और कुत्ते ने हरम में जाकर पकड़ा तो उस पर तावान नहीं। मगर शिकार न खाया जाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला :— घोड़े वग़ैरा किसी जानवर पर सवार जा रहा था या उसे हांकता या खींचता लिये जा रहा था उसके जानवर के हाथ–पाँव से कोई जानवर दब कर मर गया या उसके जानवर ने किसी

जानवर को दाँत से काटा और वह जानवर मर गया तो जानवर वाला तावान दे। (आलमगीरी)
मसअला :– भेड़िया पर कुत्ता छोड़ा उसने जाकर शिकार पकड़ा या भेड़िया पकड़ने के लिए जाल ताना उसमें शिकार फँस गया तो दोनों सूरतों में तावान कुछ नहीं। (आलमगीरी)
मसअला :– जानवर को भगाया वह कुँए में गिर पड़ा या फिसल कर गिरा और मर गया या किसी चीज़ की ठोकर लगी वह मर गया तो तावान दे। (आलमगीरी)
मसअला :– हरम का जानवर पकड़ लाया और उसे हरम के बाहर छोड़ दिया अब किसी ने मार डाला तो पकड़ने वाले पर कफ़्फ़ारा लाज़िम है और अगर किसी ने न भी मारा तो जब तक अमन के साथ हरम की ज़मीन में पहुँच जाना मालूम न हो कफ़्फ़ारा से बरी न होगा। (मुनसक)
मसअला :– जानवर हरम से बाहर था और उसका बहुत छोटा बच्चा हरम के अन्दर ग़ैर मुहरिम ने उस जानवर को मारा तो उसका कफ़्फ़ारा नहीं मगर बच्चा भूक से मर जायेगा तो बच्चे का कफ़्फ़ारा देना होगा। (मुनसक)
मसअला :– हिरनी को हरम से निकाला वह बच्चे जनी फिर वह मर गई और बच्चे भी मर गये तो सब का तावान दे और अगर तावान देने के बाद जनी तो बच्चों का तावान लाज़िम नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)
मसअला :– परिन्द दरख़्त पर बैठा हुआ है और वह दरख़्त हरम से बाहर है मगर जिस शाख़ पर बैठा है वह हरम में है तो उसे मारना हराम है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

15.हरम के पेड़ काटना

मसअला :– हरम के दरख़्त चार क़िस्म के हैं (1)किसीने उसे बोया है और वह ऐसा दरख़्त है जिसे लोग बोया करते हैं। (2)बोया है मगर उस क़िस्म का नहीं जिसे लोग बोया करते हैं।(3)किसी ने उसे बोया नहीं मगर दरख़्त उस क़िस्म से है जिसे लोग बोया करते हैं। (4)बोया नहीं न उस क़िस्म से है जिसे लोग बोते हैं । पहली तीन क़िस्मों के काटने वग़ैरा में कुछ तावान नहीं यानी उस पर जुर्माना नहीं। रहा यह कि वह अगर किसी की मिल्क है तो मालिक तावान लेगा चौथी क़िस्म में जुर्माना देना पड़ेगा और किसी की मिल्क है तो मालिक तावान भी लेगा और जुर्माना उसी वक़्त है कि तर हो और टूटा या उखड़ा हुआ न हो। जुर्माना यह है कि उसकी क़ीमत का ग़ल्ला लेकर मिस्कीनों पर सदक़ा करे हर मिस्कीन को एक सदक़ा दे और अगर क़ीमत का गल्ला पूरे सदक़े से कम है तो एक ही मिस्कीन को दे और इसके लिए हरम के मिस्कीन होना ज़रूरी नहीं और यह भी हो सकता है कि क़ीमत ही सदक़ा कर दे और यह थी हो सकता है कि उस क़ीमत का जानवर ख़रीद कर हरम में ज़िबह कर दे रोज़ा रखना काफ़ी नहीं। (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)
मसअला :– दरख़्त उखेड़ा और उसकी क़ीमत भी दे दी जब भी उस से किसी क़िस्म का नफ़ा लेना जाइज़ नहीं और अगर बेच डाला तो बैअ् हो जायेगी मगर उसकी क़ीमत सदक़ा कर दे। (आलमगीरी)
मसअला :– जो दरख़्त सूख गया उसे उखाड़ सकता है और उससे नफ़ा भी उठा सकता है। (आलमगीरी)
मसअला :– दरख़्त उखाड़ा और तावान भी अदा कर दिया फिर उसे वहीं लगा दिया और वह जम गया फिर उसी को उखाड़ा तो अब तावान नहीं। (आलमगीरी)
मसअला :– दरख़्त के पत्ते तोड़े अगर उस दरख़्त को नुक़सान न पहुँचा तो कुछ नहीं यूँही जो

दरख़्त हिलता है उसे भी काटने में तावान नहीं जबकि मालिक से इजाज़त ले ली हो या उसे क़ीमत दे दे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :– चन्द शख़्सों ने मिल कर दरख़्त काटा तो एक ही तावान है जो सब पर तक़सीम हो जायेगा चाहे सब मुहरिम हों या ग़ैर मुहरिम या बाज़ मुहरिम और बाज़ ग़ैर मुहरिम हों। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– हरम के पीलू या किसी दरख़्त की मिस्वाक बनाना जाइज़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिस दरख़्त की जड़ हरम से बाहर है और शाख़ें हरम में हैं वह हरम का दरख़्त नहीं और अगर तने का बाज़ हिस्सा हरम में है और बाज़ बाहर तो वह हरम का है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– अपने या जानवर के चलने में या ख़ेमा नसब करने में कुछ दरख़्त जाते रहे तो कुछ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ज़रूरत की वजह से फ़तवा इस पर है कि वहाँ की घास जानवरों को चराना जाइज़ है बाक़ी काटना,उखाड़ना इसका वही हुक्म है जो दरख़्त का है सिवा अज़ख़र दरख़्त के और सूखी घास के कि उनसे हर तरह का फ़ायदा लेना जाइज़ है, खुम्बी के तोड़ने, उखाड़ने में कुछ मुज़ाइक़ा (हरज) नहीं (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

16. जूँ मारना

मसअ्ला :– अपनी जूँ अपने बदन या कपड़े में मारी या फेंक दी तो एक में रोटी का टुकड़ा और दो या तीन हों तो एक मुट्ठी अनाज़ और इससे ज़्यादा में सदक़ा दे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जूँए मारने को सर या कपड़ा धोया या धूप में डाला जब भी यही कफ़्फ़ारे हैं जो मारने में थे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– दूसरे ने उसके कहने या इशारा करने से इसकी जूँ मारी जब भी इस पर कफ़्फ़ारा है अगर्चे दूसरा एहराम में न हो। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ज़मीन वग़ैरा पर गिरी हुई जूँ या दूसरे के बदन या कपड़ों की मारने में इस पर कुछ नहीं अगर्चे वह दूसरा भी एहराम में हो। (बहर)

मसअ्ला :– कपड़ा भीग गया था सुखाने के लिए धूप में रखा उससे जूँएं मर गई मगर यह मक़सद न था तो कुछ हरज नहीं। (मुनसक,मुतवस्सित)

मसअ्ला :– हरम की ख़ाक या कंकरी लाने में हरज नहीं। (आलमगीरी)

17. बग़ैर एहराम मीक़ात से गुज़रना

मसअ्ला :– मीक़ात के बाहर से जा शख़्स आया और बग़ैर एहराम मक्कए मुअज़्ज़मा को गया तो अगर्चे न हज का इरादा हो न उ़मरा का मगर हज या उ़मरा वाजिब हो गया फिर अगर मीक़ात को वापस न गया यहीं एहराम बाँध लिया तो दम वाजिब है और मीक़ात को वापस जाकर एहराम बाँध कर आया तो दम साक़ित हो गया और मक्कए मुअज़्ज़मा में दाख़िल होने से जो उस पर हज या उ़मरा वाजिब हुआ था उस का एहराम बाँधा और अदा किया तो बरीउज़्ज़िम्मा हो गया यूँही हज्जतुलइस्लाम (फ़र्ज़ हज)या नफ़्ल या मन्नत का उ़मरा या वह हज जो उस पर था उसका एहराम बाँधा और उसी साल अदा किया जब भी बरीउज़्ज़िम्मा हो गया और अगर उस साल अदा न किया तो उससे बरीउज़्ज़िम्मा न हुआ जो मक्का में जाने से वाजिब हुआ था। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– चन्द बार बग़ैर एहराम मक्कए मुअ़ज़्ज़मा को गया। पिछली बार मीक़ात को वापस आकर हज या उ़मरा का एहराम बाँध कर अदा किया तो सिर्फ़ इस बार जो हज या उ़मरा वाजिब हुआ था उस से बरीउज़्ज़िम्मा हुआ पहलों से नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– हज या उ़मरा का इरादा है और बग़ैर एहराम मीक़ात से आगे बढ़ा तो अगर यह अन्देशा है कि मीक़ात को वापस जायेगा तो हज फ़ौत हो जायेगा तो वापस न हो वहीं से एहराम बाँध ले और दम दे और अगर यह अन्देशा न हो तो वापस आये फिर अगर मीक़ात को बग़ैर एहराम आया तो दम साक़ित हो गया यूँही अगर एहराम बाँध कर आया और लब्बैक कह चुका है तो दम साक़ित हो गया और नहीं कहा तो दम साक़ित नहीं होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मीक़ात से बग़ैर एहराम गया फिर उ़मरा का एहराम बाँधा और उ़मरा को फ़ासिद कर दिया फिर मीक़ात से एहराम बाँध कर उ़मरा की क़ज़ा की तो मीक़ात से बे–एहराम गुज़रने का दम साक़ित हो गया। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मुतमत्तेअ़ ने ह़रम के बाहर से हज का एहराम बाँधा उसे हुक्म है कि जब तक वुक़ूफ़े अ़रफ़ा न किया और हज फ़ौत होने का अन्देशा न हो तो हरम को वापस आये अगर वापस न आया तो दम वाजिब है और अगर वापस हुआ और लब्बैक कह चुका है तो दम साक़ित है,नहीं तो दम साक़ित नहीं। और बाहर जाकर एहराम नहीं बाँधा था और वापस आया और यहाँ से एहराम बाँधा तो कुछ नहीं। मक्का में जिसने इक़ामत कर ली है उसका भी यही हुक्म है और अगर मक्का वाला किसी काम से हरम के बाहर गया था और वहीं से हज का एहराम बाँध कर वुक़ूफ़ कर लिया तो कुछ नहीं और अगर उ़मरा का एहराम हरम में बाँधा तो लाज़िम आया। (आलमगीरी,रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला :– नाबालिग़ बग़ैर एहराम मीक़ात से गुज़रा फिर बालिग़ हो गया और वहीं से एहराम बाँध लिया तो दम लाज़िम नहीं और गुलाम अगर बग़ैर एहराम गुज़रा फिर उसके आक़ा ने एहराम की इजाज़त दे दी और उसने एहराम बाँध लिया तो दम लाज़िम है जब आज़ाद हो अदा करे।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– मीक़ात से बग़ैर एहराम गुज़रा फिर उ़मरा का एहराम बाँधा उसके बाद हज का एहराम बाँधा या क़िरान किया तो दम लाज़िम है और अगर पहले हज का बाँधा फिर हरम में उ़मरा का तो दो दम दे। (आलमगीरी)

18. एहराम होते हुए दूसरा एहराम बाँधना

मसअ्ला :– जो शख़्स मीक़ात के अन्दर रहता है उसने हज के महीनों में उ़मरा का त़वाफ़ एक फेरा भी कर लिया उसके बाद हज का एहराम बाँधा तो उसे तोड़ दे और दम वाजिब है इस साल उ़मरा कर ले आइन्दा साल हज करे और उ़मरा तोड़ कर हज किया तो उ़मरा साक़ित हो गया और दम दे और दोनों कर लिय तो हो गये मगर गुनाहगार हुआ और दम वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– हज का एहराम बाँधा फिर अ़रफ़ा के दिन या रात में दूसरे हज का एहराम बाँधा तो उसे तोड़ दे और दम दे और हज व उ़मरा उस पर वाजिब हैं और अगर दसवीं को दूसरे हज का एहराम बाँधा और ह़ल्क़ कर चुका है तो ब–दस्तूर एहराम में रहे और दूसरे को आइन्दा साल में पूरा करे और दम वाजिब नहीं और ह़ल्क़ नहीं किया है तो दम वाजिब है। (रद्दुलमुह़तार)

मसअ्ला :–उ़मरा के तमाम अफ़आल कर चुका था सिर्फ़ ह़ल्क़ बाक़ी था कि दूसरे उ़मरा का एहराम बाँधा तो दम वाजिब है और गुनाहगार हुआ। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :— बाहर के रहने वाले ने पहले हज का एहराम बाँधा और तवाफ़े कुदूम से पेशतर उमरा का एहराम बाँध लिया तो क़ारिन हो गया मगर इसाअत (बुरी बात)हुई और शुक्राना की कुर्बानी करे और उमरा के अकसर तवाफ़ यानी चार फेरे से पहले वुकूफ़ कर लिया तो उमरा बातिल हो गया।

मसअला :— तवाफ़े कुदूम का एक फेरा भी कर लिया तो उमरा का एहराम बाँधना जाइज़ नहीं फिर भी अगर बाँध लिया तो बेहतर यह है कि उमरा तोड़ दे और क़ज़ा करे और दम दे और अगर नहीं तोड़ा और दोनों कर लिये तो दम दे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :— दसवीं से तेरहवीं तक हज करने वाले को उमरा का एहराम बाँधना मना है अगर बाँधा तो तोड़ दे और उसकी क़ज़ा करे और दम दे और कर लिया तो हो गया मगर दम वाजिब है।(दुर्रे मुख़्तार)

मुह़स़र का बयान

अल्लाह तआला फ़रमाता है :—

فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ ؕ

तर्जमा :— "अगर हज व उमरा से तुम रोक दिये जाओ तो जो कुर्बानी मयस्सर आये करो और अपने सर न मुंडाओ जब तक़ कुर्बानी अपनी जगह हरम में न पहुँच जाये"।

और फ़रमाता है :—

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِىْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ نِ الْعَاكِفُ فِيْهِ

وَالْبَادِطوَ مَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍO

तर्जमा :— " बेशक वह जिन्होंने कुफ़्र किया और रोकते हैं अल्लाह की राह से और मस्जिदे हराम से जिसको हमने सब लोगों के लिए मुक़र्रर किया उसमें वहाँ के रहने वाले और बाहर वाले बराबर हक़ रखते हैं और जो उसमें ना–हक़ ज़्यादती का इरादा करे हम उसे दर्दनाक अज़ाब चखायेंगे"।

सहीह बुख़ारी शरीफ़ में अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ चले कुफ़्फ़ारे कुरैश कअ़बा तक जाने से मानेअ़ हुए, नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुर्बानियाँ की और सर मुंडाया और सहाबा ने बाल कतरवाये। नीज़ बुख़ारी में मिसवर इब्ने मख़रमा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हल्क़ से पहले कुर्बानी की और सहाबा को भी इसी का हुक्म फ़रमाया। अबूदाऊद व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा व दारिमी हज्जाज इब्ने अम्र अन्सारी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसकी हड्डी टूट जाये या लंगड़ा हो जाये तो एहराम खोल सकता है और आइन्दा साल उसको हज करना होगा। और अबूदाऊद की एक रिवायत में है या बीमार हो जाये।

मसअला :— जिसने हज या उमरा का एहराम बाँधा मगर किसी वजह से पूरा न कर सका उसे मुहसर कहते हैं जिन वजहों से हज या उमरा न कर सके वह यह हैं :(1) दुश्मन (2) दरिन्दा (3) मरज़ कि सफ़र करने और सवार होने में उस के ज़्यादा होने का गुमान ग़ालिब है। (4) हाथ–पाँव टूट जाना (5) क़ैद (6) औरत के महरम या शौहर जिस के साथ जा रही थी उस का इन्तिक़ाल हो

जाना (7) इद्दत (8) मसारिफ़ या सवारी का हलाक हो जाना (9)शौहर नफ़्ल हज में औरत को और मौला लौंडी, गुलाम को मना कर दे।

मसअ्ला :– मसारिफ चोरी गये या सवारी का जानवर हलाक हो गया तो पैदल नहीं चल सकता तो मुह्सर है वरना नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– ज़िक्र की गई सूरत में फ़िलहाल तो पैदल चल सकता है मगर आइन्दा मजबूर हो जायेगा तो उसे एहराम खोल देना जाइज़ है। (रद्दुल मुह्तार)

मसअ्ला :– औरत का शौहर या महरम मर गया और वहाँ से मक्कए मुअ़ज़्ज़मा मसाफ़ते सफ़र यानी तीन दिन की राह से कम है तो मुह्सर नहीं और तीन दिन या ज़्यादा की राह है तो अगर वहाँ ठहरने की जगह है तो मुह्सरा है वरना नहीं। (आलमगीरी, रद्दुल मुह्तार)

मसअ्ला :– औरत ने बग़ैर शौहर या महरम के एहराम बाँधा तो वह भी मुह्सर है कि उसे बग़ैर उनके सफ़र हराम है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत ने नफ़्ल हज का एहराम बग़ैर शौहर की इजाज़त बाँधा तो शौहर मना कर सकता है लिहाज़ा अगर मना कर दे तो मुह्सरा है अगर्चे उसके साथ महरम भी हो और फ़र्ज़ हज को मना नहीं कर सकता अलबत्ता अगर वक़्त से पहले एहराम बाँधा तो शौहर खुलवा सकता है।(रद्दुल मुह्तार)

मसअ्ला :– मौला ने गुलाम को इजाज़त दे दी फिर भी मना करने का इख़्तियार है अगर्चे बग़ैर ज़रूरत मना करना मकरूह है और लौंडी को मौला ने इजाज़त दे दी तो उसके शौहर को रोकने का हक़ हासिल नहीं है। (रद्दुल मुह्तार)

मसअ्ला :– औरत ने एहराम बाँधा उसके बाद शौहर ने तलाक़ दे दी तो मुह्सरा है अगर्चे महरम भी हमराह मौजूद हो। (रद्दुल मुह्तार)

मसअ्ला :– मुह्सर को यह इजाज़त है कि हरम को क़ुर्बानी भेज दे जब क़ुर्बानी हो जायेगा उसका एहराम खुल जायेगा या क़ीमत भेज दे कि वहाँ जानवर ख़रीद कर ज़बह कर दिया जाये बग़ैर इसके एहराम नहीं खुल सकता जब तक मक्कए मुअ़ज़्ज़मा पहुँच कर तवाफ़ व सई व हल्क़ न कर ले रोज़ा रखने या सदक़ा देने से काम नहीं चलेगा अगर्चे क़ुर्बानी की इस्तिताअ़त (ताक़त) न हो। एहराम बाँधते वक़्त अगर शर्त लगाई है कि किसी वजह से वहाँ तक न पहुँच सकूँ तो एहराम खोल दूँगा जब भी यही हुक्म है इस शर्त का कुछ असर नहीं। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुह्तार)

मसअ्ला :– यह ज़रूरी अम्र है कि जिस के हाथ क़ुर्बानी भेजे उससे ठहरा ले कि फ़लाँ दिन फ़लाँ वक़्त क़ुर्बानी ज़बह हो और वह वक़्त गुज़रने के बाद एहराम से बाहर होगा फिर अगर उसी वक़्त क़ुर्बानी हुई जो ठहरा था या उससे पहले तो ठीक है, और अगर बाद में हुई और उसे अब मालूम हुआ तो ज़िबह से पहले चूँकि एहराम से बाहर हुआ लिहाज़ा दम दे। मुह्सर को एहराम से बाहर आने के लिए हल्क़ शर्त नहीं मगर बेहतर है। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– मुह्सर अगर मुफ़रिद हो यानी सिर्फ़ हज या सिर्फ़ उमरा का एहराम बाँधा है तो एक क़ुर्बानी भेजे और दो भेजीं तो पहली ही के ज़िबह से एहराम खुल गया और क़ारिन हो तो दो भेजे एक से काम न चलेगा। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– इस क़ुर्बानी के लिए हरम शर्त है हरम के बाहर नहीं हो सकती। दसवीं ग्यारहवीं,

बारहवीं तारीख़ों की शर्त नहीं पहले और बाद को भी हो सकती है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– क़ारिन ने अपने ख़्याल से दो क़ुर्बानियों के दाम भेजे और वहाँ उन दामों की एक ही मिली और ज़िबह कर दी तो यह नाकाफ़ी है। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– क़ारिन ने दो क़ुर्बानियाँ भेजीं और यह मुअय्यन न किया कि यह हज की है और यह उमरा की तो भी कुछ मुज़ाइका (हरज) नहीं मगर बेहतर यह है कि मुअय्यन कर दे कि यह हज की है और यह उमरा की। (आलमगीरी)

मसअला :– क़ारिन ने उमरा का तवाफ़ किया और वुक़ूफ़े अरफ़ा से पहले मुहसर हुआ तो एक क़ुर्बानी भेजे और हज के बदले एक हज और एक उमरा करे दूसरा उमरा उस पर नहीं (आलमगीरी)

मसअला :– अगर एहराम में हज या उमरा किसी की नियत नहीं थी तो एक जानवर भेजना काफ़ी है और एक उमरा करना होगा और अगर नियत थी मगर यह याद नहीं कि काहे की नियत थी तो एक जानवर भेज दे आर एक हज और एक उमरा करे और अगर दो हज का एहराम बाँधा तो दो दम देकर एहराम खोले और दो उमरे का एहराम बाँधा और अदा करने के लिए मक्कए मुअज़्ज़मा को चला मगर न जा सका तो एक दम दे और चला न था कि मुहसर हो गया तो दो दम दे और उसको दो उमरे करने होंगे। (आलमगीरी)

मसअला :– औरत ने नफ़्ल हज का एहराम बाँधा था अगर्चे शौहर की इजाज़त से फिर शौहर ने एहराम खुलवा दिया तो उसका एहराम खुलने के लिए क़ुर्बानी का ज़िबह हो जाना ज़रूरी नहीं बल्कि हर ऐसा काम जो एहराम में मना था उसके करने से एहराम से बाहर हो गई मगर उस पर भी क़ुर्बानी या उसकी क़ीमत भेजना ज़रूर है और अगर हज का एहराम था तो एक हज और एक उमरा क़ज़ा करना होगा और अगर शौहर या महरम के मर जाने से मुहसरा हुई या फ़र्ज़ हज का एहराम था और बग़ैर महरम जा रही थी शौहर ने मना कर दिया तो उसमें बग़ैर क़ुर्बानी ज़िबह हुए एहराम से बाहर नहीं हो सकती। (मुनसक)

मसअला :– मुहसर ने क़ुर्बानी नहीं भेजी वैसे ही घर को चला आया और एहराम बाँधे हुए रह गया तो यह भी जाइज़ है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– वह मानेअ् (रुकावट)जिसकी वजह से रुकना हुआ था जाता रहा और वक़्त इतना है कि हज और क़ुर्बानी दोनों पा लेगा तो जाना फ़र्ज़ है अब अगर गया और हज पा लिया तो ठीक है वरना उमरा करके एहराम से बाहर हो जाये और क़ुर्बानी का जानवर जो भेजा था मिल गया तो जो चाहे करे। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– मानेअ् जाता रहा और इसी साल हज किया तो क़ज़ा की नियत न करे और अब मुफ़रिद पर उमरा भी वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– वुक़ूफ़े अरफ़ा के बाद इहसार नहीं हो सकता और अगर मक्का ही में है मगर तवाफ़ और वुक़ूफ़े अरफ़ा दोनों पर क़ादिर न हो तो मुहसर है और दोनों में से एक पर क़ादिर है तो नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– मुहसर क़ुर्बानी भेजकर जब एहराम से बाहर हो गया अब उसकी क़ज़ा करना चाहता है तो अगर सिर्फ़ हज का एहराम था तो एक हज और एक उमरा करे और क़िरान था तो एक हज दो उमरे करे और यह इख़्तियार है कि क़ज़ा में क़िरान करे फिर एक उमरा या तीनों अलग–अलग करे और अगर एहराम उमरा का था तो सिर्फ़ एक उमरा करना होगा। (आलमगीरी वग़ैरा)

हज फ़ौत होने का बयान

अबूदाऊद व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा व दारमी अब्दुर्रहमान इब्ने यामर दैली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि हज अरफ़ा है जिसने मुज़दलेफ़ा की रात में फ़ज्र की नमाज़ का वक़्त शुरू होने से पहले वुक़ूफ़े अरफ़ा पा लिया उसने हज पा लिया। दारक़ुतनी ने इब्ने उमर व इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुम से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसका वुक़ूफ़े अरफ़ा रात तक में फ़ौत हो गया उसका हज फ़ौत हो गया तो अब उसे चाहिए कि उमरा करके एहराम खोल दे और आइन्दा साल हज करे।

मसअला :– जिस का हज फ़ौत हो गया यानी वुक़ूफ़े अरफ़ा उसे न मिला तो तवाफ़ व सई करके सर मुंडा कर या बाल कतरवा कर एहराम से बाहर हो जाये और आइन्दा साल हज करे और उस पर दम वाजिब नहीं। (जौहरा)

मसअला :– क़ारिन का हज फ़ौत हो गया तो उमरा के लिए सई व तवाफ़ करे फिर एक और तवाफ़ व सई करके हल्क़ करे और क़िरान का दम जाता रहा और पिछला तवाफ़ जिसे करके एहराम से बाहर होगा उसे शुरूअ़ करते ही लब्बैक मौक़ूफ़ कर दे यानी छोड़ दे और अगले साल हज की क़ज़ा करे उमरा की क़ज़ा नहीं क्यूँकि उमरा कर चुका। (मुनसक, आलमगीरी)

मसअला :– तमत्तोअ़ वाला क़ुर्बानी का जानवर लाया था और तमत्तोअ़ बातिल हो गया तो जानवर को जो चाहे करे। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला :– उमरा फ़ौत नहीं हो सकता कि उस का वक़्त उम्र भर है और जिस का हज फ़ौत हो गया उस पर तवाफ़े सद्र नहीं। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला :– जिसका हज फ़ौत हुआ उसने तवाफ़ व सई करके एहराम न खोला और इसी एहराम से आइन्दा साल हज किया तो यह हज सही न हुआ। (मुनसक)

हज्जे बदल का बयान

हदीस न.1 :– दारक़ुतनी इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स अपनी वालिदा या वालिद की तरफ़ से हज करे या उनकी तरफ़ से तावान अदा करे रोज़े क़ियामत अबरार (अच्छों)के साथ उठाया जायेगा।

हदीस न.2 :– नीज़ जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो अपने माँ–बाप की तरफ़ से हज करे तो उनका हज पूरा कर दिया जायेगा और इसके लिए दस हज का सवाब है।

हदीस न.3 :– नीज़ ज़ैद इब्ने अरक़म रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब कोई अपने वालिदैन की तरफ़ से हज करेगा तो मक़बूल होगा और उनकी रूहें ख़ुश होंगी और यह अल्लाह के नज़दीक नेक लोगों में लिखा जायेगा।

हदीस न.4 :– अबू हफ़्स कबीर अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि उन्होंने रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि हम अपने मुर्दों की तरफ़ से सदका करते और उनकी तरफ़ से हज करते और उनके लिए दुआ करते हैं क्या यह उनको पहुँचता है? फ़रमाया हाँ बेशक उनको पहुँचता है और बेशक यह इससे खुश होते हैं जैसे तुम्हारे पास तबक(थाल)में कोई चीज़ हदिया की जाये तो तुम खुश होते हो।

हदीस न.5 :– सहीहैन में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि एक औरत ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह! मेरे बाप पर हज फ़र्ज़ है और वह बहुत बूढ़े हैं कि सवारी पर बैठ नहीं सकते क्या मैं उनकी तरफ़ से हज करूँ ? फ़रमाया, हाँ।

हदीस न.6 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई अबी रज़ीन अक़ैली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि यह नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ की या रसूलल्लाह ! मेरे बाप बहुत बूढ़े हैं हज व उमरा नहीं कर सकते और हौदज पर भी नहीं बैठ सकते, फ़रमाया अपने बाप की तरफ़ से हज व उमरा करो।

मसअ्ला :– इबादत तीन किस्म की है (1) बदनी (2) माली (3)मुरक्कब। इबादते बदनी में नियाबत नहीं हो सकती यानी एक की तरफ़ से दूसरा अदा नहीं कर सकता जैसे नमाज़ रोज़ा। माली में नियाबत बहरहाल जारी हो सकती है जैसे ज़कात व सदका। मुरक्कब में आजिज़ हो तो दूसरा उसकी तरफ़ से कर सकता है वरना नहीं जैसे हज । रहा सवाब पहुँचाना कि जो कुछ इबादत की उसका सवाब फ़लाँ को पहुँचे इसमें किसी इबादत की तख़सीस नहीं हर इबादत का सवाब दूसरे को पहुँचा सकता है ,नमाज़, रोज़ा, ज़कात, सदका, हज तिलावते कुर्आन, ज़िक्र, ज़्यारते कुबूर, फ़र्ज़ व नफ़्ल सब का सवाब ज़िन्दा या मुर्दा को पहुँचा सकता है और यह न समझना चाहिए कि फ़र्ज़ का सवाब पहुँचा दिया तो अपने पास क्या रह गया कि सवाब पहुँचाने से अपने पास से कुछ न गया लिहाज़ा फ़र्ज़ का सवाब पहुँचाने से फिर वह फ़र्ज़ अदा करने का हुक्म न आयेगा। कि यह तो अदा कर चुका इसके ज़िम्मे से साकित हो चुका वरना सवाब किस शय का पहुँचता है। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार,आलमगीरी)इससे मालूम हो गया कि मुरव्वजा फ़ातिहा जाइज़ बल्कि महमूद (पसन्दीदा)अलबत्ता किसी मुआवज़ा (बदला)पर ईसाले सवाब करना मसलन बाज़ लोग कुछ ले कर कुर्आन मजीद का सवाब पहुँचाते हैं यह नाजाइज़ है कि यह पहले जो पढ़ चुका है उसका मुआवज़ा लिया तो यह बैअ(ख़रीद–फ़रोख़्त)हुई और यह बैअ कतअन बातिल व हराम है और अगर अब पढ़ेगा उस का सवाब पहुँचायेगा तो यह इजारा(एक तरह का बदला)हुआ और ताअत (इबादत)पर इजारा बातिल है सिवा उन तीन चीजों के जिनका बयान आयेगा। (रद्दुल मुहतार)

हज्जे बदल के शराइत

मसअ्ला :– हज्जे बदल के लिए चन्द शर्तें हैं :

(1) जो हज्जे बदल कराता हो उस पर हज फ़र्ज़ हो यानी अगर फ़र्ज़ न था और हज्जे बदल कराया तो हज्जे फ़र्ज़ अदा न हुआ लिहाज़ा अगर बाद में हज उस पर फ़र्ज़ हुआ तो यह हज उसके लिए काफ़ी न होगा बल्कि अगर आजिज़ हो तो फिर हज कराये और कादिर हो तो खुद करे

(2) जिसकी तरफ़ से हज किया जाये वह आजिज़ हो यानी वह खुद हज न कर सकता हो अगर

इस काबिल हो कि ख़ुद कर सकता हो तो उसकी तरफ़ से नहीं हो सकता अगर्चे बाद में आजिज़ हो गया तो अब वह दोबारा हज कराये।

(3) वक़्ते हज से मौत तक उज़्र बाक़ी रहे अगर दरमियान में इस क़ाबिल हो गया कि ख़ुद हज करे तो पहले जो हज़ किया जा चुका है वह नाकाफ़ी है हाँ अगर वह कोई ऐसा उज़्र था जिसके जाने की उम्मीद ही न थी और इत्तिफ़ाक़न जाता रहा तो वह पहला हज जो उसकी तरफ़ से किया गया काफ़ी है मसलन वह नाबीना (अन्धा) है और हज कराने के बाद अंखियारा हो गया तो अब दोबारा हज कराने की ज़रूरत नही रही।

(4)जिसकी तरफ़ से हज किया जाये उसने हुक्म दिया हो बग़ैर उसके हुक्म के हज नहीं हो सकता हाँ वारिस ने मूरिस की तरफ़ से किया तो इसमें हुक्म की ज़रूरत नहीं (5)मसारिफ़ उसके माल से हों। जिसकी तरफ़ से हज किया जाये लिहाज़ा अगर मामूर यानी जिससे हज्जे बदल कराया उसने अपना माल ख़र्च किया तो हज्जे बदल न हुआ यानी जब कि तबर्रुअन यानी फ़ायदा पहुँचाने की नियत से ऐसा किया हो और अगर कुल या अकसर अपना माल सर्फ़ (ख़र्च) किया और जो कुछ उसने दिया है इतना है कि ख़र्च उसमें से वुसूल कर लेगा तो हो गया और अगर इतना नहीं कि जो कुछ अपना ख़र्च किया है वुसूल कर ले तो अगर ज़्यादा हिस्सा उसका है जिसने हुक्म दिया है तो हो गया वरना नहीं।

मसअ्ला :– अपना और उसका माल एक में मिला दिया और जितना उसने दिया था उतना या उसमें से ज़्यादा हिस्से के बराबर ख़र्च किया तो हज्जे बदल हो गया और इस मिलाने की वजह से इस पर तावान लाज़िम न आयेगा बल्कि अपने साथियों के माल के साथ भी मिला सकता है।(रद्दुल मुहतार,आलमगीरी)

मसअ्ला :– वसीयत की थी कि मेरे माल से हज करा दिया जाये और वारिस ने अपने माल से तबर्रुअन कराया तो हज्जे बदल न हुआ और अगर अपने माल से हज किया यूँ कि जो ख़र्च होगा तर्के में से ले लेगा तो हो गया और लेने का इरादा न हो तो नहीं ,और अजनबी ने हज्जे बदल अपने माल से करा दिया तो न हुआ अगर्चे वापस लेने का इरादा हो अगर्चे यह ख़ुद उसी को हज्जे बदल करने के लिए कह गया हो और अगर यूँ वसीयत की कि मेरी तरफ़ से हज्जे बदल करा दिया जाये और यह न कहा कि मेरे माल से और वारिस ने अपने माल से हज करा दिया अगर्चे लेने का इरादा भी न हो तो हज हो गया। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मय्यत की तरफ़ से हज करने के लिए माल दिया और वह काफ़ी था मगर इसने अपना माल भी कुछ ख़र्च किया है तो जो ख़र्च हुआ वुसूल कर ले और अगर नाकाफ़ी था मगर अकसर(ज़्यादा)मय्यत के माल से सर्फ़ हुआ तो मय्यत की तरफ़ से हो गया वरना नहीं। (आलमगीरी)

(6) जिसको हुक्म दिया वही करे दूसरे से उसने हज कराया तो न हुआ।

मसअ्ला :– मय्यत ने वसीयत की थी कि मेरी तरफ़ से फ़लाँ शख़्स हज करे और वह मर गया या उसने इन्कार कर दिया अब दूसरे से हज करा लिया गया तो जाइज़ है।(रद्दुल मुहतार)

(7) सवारी पर हज को जाये पैदल हज किया तो न हुआ लिहाज़ा सवारी में जो कुछ सर्फ़ हुआ देना पड़ेगा हाँ अगर ख़र्च में कमी पड़ी तो पैदल भी हो जायेगा सवारी से मुराद यह है कि अक्सर रास्ता सवारी पर तय किया हो। (8)उसके वतन से हज को जाये। (9)मीक़ात से हज का एहराम

बाँधे अगर उसने उसका हुक्म किया हो।(10)उसकी नीयत से हज करे और अफ़ज़ल यह है कि ज़बान से भी **'लब्बैक अ़न फुलानिन'** कह ले और अगर उसका नाम भूल गया है तो यह नीयत कर ले कि जिसने मुझे भेजा है उसकी त़रफ़ से हज करता हूँ और इनके अ़लावा और भी शराइत़ हैं जो ज़िमनन यानी अपनी जगह पर ज़िक्र होंगी यह शर्तें जो ज़िक्र हुई हज्जे फ़र्ज़ में हैं, हज्जे नफ़्ल में हो तो इनमें से कोई शर्त नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– एह़राम बाँधते वक़्त यह नियत न थी कि किस की त़रफ़ से हज करता हूँ तो जब तक हज के अफ़आल शुरूअ् न किये इख़्तियार है कि नीयत कर ले। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जिसको भेजे उससे यूँ न कहे कि मैंने तुझे अपनी त़रफ़ से हज करने के लिए अजीर (मज़दूर)बनाया या नौकर रखा कि इबादत पर इजारा कैसा ? बल्कि यूँ कहे कि मैंने अपनी त़रफ़ से तुझे हज के लिए हुक्म दिया और अगर इजारा का लफ़्ज़ कहा जब भी ह़ज हो जायेगा मगर उजरत कुछ न मिलेगी सिर्फ़ हज के ख़र्च मिलेंगे। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– हज्जे बदल की सब शर्तें जब पाई जायें तो जिस की त़रफ़ से किया गया उस का फ़र्ज़ अदा हुआ और यह हज करने वाला भी सवाब पायेगा मगर इस हज से उसका हज्जतुलइस्लाम (फ़र्ज़ हज) अदा न होगा। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– बेहतर यह है कि हज्जे बदल के लिए ऐसे शख़्स को भेजा जाये जो ख़ुद हज्जतु-लइस्लाम (फ़र्ज़ हज)अदा कर चुका हो और अगर ऐसे को भेजा जिसने ख़ुद नहीं किया है जब भी हज्जे बदल हो जायेगा। (आ़लमगीरी)और अगर ख़ुद इस पर हज फ़र्ज़ हुआ और अदा न किया हो तो इसे भेजना मकरूहे तहरीमी है। (मुनसक)

मसअ्ला :– अफ़ज़ल यह है कि ऐसे शख़्स को भेजे जो हज के त़रीक़े और उसके अफ़आल से आगाह हो और बेहतर यह है कि आज़ाद मर्द हो और अगर आज़ाद औ़रत या ग़ुलाम या बाँधी या मुराहिक़ यानी बालिग़ होने के क़रीब बच्चे से हज कराया जब भी अदा हो जायेगा (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– मजनून या कलिमा पढ़ने वाले काफ़िर जैसे इस ज़माने में वहाबी, देवबन्दी वग़ैरा को भेजा तो अदा न हुआ कि यह हज के लाइक़ ही नहीं।

मसअ्ला :– दो शख़्सों ने एक ही को हज्जे बदल के लिए भेज उसने एक हज में दोनों की त़रफ़ से लब्बैक कहा तो दोनों में से किसी की त़रफ़ से न हुआ बल्कि इस हज करने वाले का हुआ और दोनों को तावान दे और अब अगर चाहे कि दोनों में से एक के लिए हज कर दे तो यह भी नहीं कर सकता और अगर एक ही की त़रफ़ से लब्बैक कहा मगर यह मुअ़य्यन न किया कि किस की त़रफ़ से तो अगर यूँही मुबहम (गोल–मोल)रखा जब भी किसी का न हुआ और अगर बाद में यानी अ़फ़आ़ले हज अदा करने से पहले मुअ़य्यन कर दिया तो जिस के लिए किया उसका हो गया और अगर एह़राम बाँधते वक़्त कुछ न कहा कि इस की त़रफ़ से है न मुअ़य्यन न मुबहम जब भी यही दोनों सूरतें है (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– माँ–बाप दोनों की त़रफ़ से हज किया तो इसे इख़्तियार है कि उस हज को बाप के लिए कर दे या माँ के लिए इसका फ़र्ज़ हज अदा हो गया यानी जब कि उन दोनों ने इसे हुक्म न किया और अगर हज का हुक्म दिया हो तो उसमें भी वही अहकाम हैं जो ऊपर ज़िक्र हुए और

अगर बग़ैर कहे अपने आप दो शख़्सों की तरफ़ से हज्जे नफ़्ल का एहराम बाँधा तो इख़्तियार है जिस के लिए चाहे कर दे मगर इस से उस का फ़र्ज़ अदा न हुआ जबकि वह अजनबी है यूँही सवाब पहुँचाने का भी इख़्तियार है बल्कि सवाब तो दोनों को पहुँचा सकता है (रद्दुल मुहतार, आलमगीरी)

मसअ्ला :– हज फ़र्ज़ होने के बाद मजनून हो गया तो उसकी तरफ़ से हज्जे बदल कराया जा सकता है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– सिर्फ़ हज या सिर्फ़ उमरा को कहा था उस ने दोनों का एहराम बाँधा चाहे दोनों इसी की तरफ़ से किये या एक इस की तरफ़ से दूसरा अपनी या किसी और की तरफ़ से बहरहाल उसका हज अदा न हुआ तावान देना आयेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– हज के लिए कहा था उस ने उमरा का एहराम बाँधा फिर मक्कए मुअ़ज़्ज़मा से हज का एहराम बाँधा जब भी उसकी मुख़ालफ़त हुई लिहाज़ा तावान दे।(रद्दुल मुहतार, आलमगीरी)

मसअ्ला :– हज के लिए कहा था इस ने हज करने के बाद उमरा किया या उमरा के लिए कहा था इस ने उमरा कर के हज किया तो इस में मुख़ालफ़त न हुई उसका हज या उमरा अदा हो गया मगर अपने हज या उमरा के लिए जो ख़र्च किया ख़ुद उसके ज़िम्मे है भेजने वाले पर नहीं और अगर उल्टा किया यानी जो उसने कहा उसे बाद में किया तो मुख़ालफ़त हो गई उसका हज या उमरा अदा न हुआ तावान दे। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने इस से हज को कहा दूसरे ने उमरा को मगर उन दोनों ने जमा (इकट्ठा) करने का हुक्म न दिया था इस ने दोनों को जमा कर दिया तो दोनों का माल वापस दे और अगर यह कह दिया था कि जमा कर देना तो जाइज़ हो गया। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अफ़ज़ल यह है कि जिसे हज्जे बदल के लिए भेजा जाये वह हज कर के वापस आये और जाने आने के लिए मसारिफ़ भेजने वाले पर हैं और अगर वहीं रह गया जब भी जाइज़ है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– हज के बाद काफ़िले के इन्तिज़ार में जितने दिन ठहरना पड़े उन दिनों के मसारिफ़ भेजने वाले के ज़िम्मे हैं और उस से ज़्यादा ठहरना हो तो ख़ुद इस के ज़िम्मे है मगर जब वहाँ से चला तो वापसी के मसारिफ़ भेजने वाले पर हैं और अगर मक्कए मुअ़ज़्ज़मा में बिलकुल रहने का इरादा कर लिया तो अब वापसी के अख़राजात भी भेजने वाले पर नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिस को भेजा वह अपने किसी काम में मशग़ूल हो गया और हज फ़ौत हो गया तो तावान लाज़िम है फिर अगर आइन्दा साल इस ने अपने माल से हज कर दिया तो काफ़ी हो गया और अगर वुक़ूफ़े अ़रफ़ा से पहले जिमाअ् (हमबिस्तरी)किया जब भी यही हुक्म है और इसे अपने माल से आइन्दा साल हज व उमरा करना होगा। और अगर वुक़ूफ़ के बाद जिमाअ् किया तो हज हो गया और इस पर अपने माल से दम देना लाज़िम और अगर ग़ैर इख़्तियारी आफ़त में मुबतला हो गया तो जो कुछ पहले ख़र्च हो चुका है उसका तावान नहीं मगर वापसी में अब अपना माल ख़र्च करे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मरज़ या दुश्मन की वजह से हज न कर सका या और किसी तरह पर मुहसर हुआ तो उसकी वजह से जो दम लाज़िम आया वह उस के ज़िम्मे है जिसकी तरफ़ से गया और बाक़ी हर क़िस्म के दम इसके ज़िम्मे है मसलन सिला हुआ कपड़ा पहना या ख़ुश्बू लगाई या बग़ैर एहराम मीक़ात

से आगे बड़ा या शिकार किया या भेजने वाले की इजाज़त से क़िरान व तमत्तोअ् किया।(दुर्रे मुख़्तार)
मसअ्ला :– जिस पर हज फ़र्ज़ हो या क़ज़ा या मन्नत का हज उसके ज़िम्मे हो और मौत का वक़्त क़रीब आ गया तो वाजिब है कि वसीयत कर जाये। (मुनसक)
मसअ्ला :– जिस पर हज फ़र्ज़ है न अदा किया न वसीयत की तो सब के नज़दीक गुनाहगार है अगर वारिस उसकी तरफ़ से हज्जे बदल कराना चाहे तो करा सकता है इन्शा अल्लाह तआला उम्मीद है कि अदा हो जाये और अगर वसीयत कर गया तो तिहाई माल से कराया जाये अगर्चे उसने वसीयत में तिहाई की कैद न लगाई मसलन यह कह कर मरा कि मेरी तरफ़ से हज्जे बदल कराया जाये। (आलमगीरी वग़ैरा)
मसअ्ला :– तिहाई माल की मिक़दार इतनी है कि वतन (घर)से हज के मसारिफ़ के लिए काफ़ी है तो वतन ही से आदमी भेजा जाये वरना मीक़ात के बाहर जहाँ से भी उस तिहाई से भेजा जा सके वहाँ से भेजे यूँही अगर वसीयत में कोई रक़म मुअय्यन कर दी हो तो उस रक़म में अगर वतन से भेजा जा सकता है तो भेजा जाये वरना जहाँ से हो सके और अगर वह तिहाई या वह मुअय्यन रक़म मीक़ात के बाहर कहीं से भी काफ़ी नहीं तो वसीयत बातिल है।(आलमगीरी,दुर्रेमुख़्तार,रद्दुल मुहतार)
मसअ्ला :– कोई शख़्स हज को चला और रास्ते में या मक्कए मुअ़ज़्ज़मा में वुकूफ़े अरफ़ा से पहले उसका इन्तिक़ाल हो गया तो अगर उसी साल उस पर हज फ़र्ज़ हुआ था तो वसीयत वाजिब नहीं और अगर वुकूफ़ के बाद इन्तिक़ाल हुआ तो हज हो गया फिर अगर तवाफ़े फ़र्ज़ बाक़ी है और वसीयत कर गया कि उसका हज पूरा कर दिया जाये तो उसकी तरफ़ से बदना की कुर्बानी कर दी जाये। (रद्दुल मुहतार)
मसअ्ला :– रास्ते में इन्तिकाल हुआ और हज्जे बदल की वसीयत कर गया तो अगर कोई रक़म या जगह मुअय्यन कर दी है तो उसके कहने के मुवाफ़िक़ किया जाये अगर्चे उसके माल की तिहाई इतनी थी कि उसके वतन से भेजा जा सकता हो,और उसने ग़ैरे वतन से भेजने की वसीयत की या वह रक़म इतनी बताई कि उसमें वतन से नहीं जाया जा सकता तो गुनहगार हुआ मुअय्यन न की तो वतन से भेजा जाये। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)
मसअ्ला :– वसी ने यानी जिसको कहा गया कि तू मेरी तरफ़ से हज करा देना ग़ैर जगह से भेजा और तिहाई इतनी थी कि वतन से भेजा जा सकता है तो यह हज मय्यत की तरफ़ से न हुआ बल्कि वसी (जिसे वसियत की)की तरफ़ से हुआ लिहाज़ा मय्यत की तरफ़ से यह शख़्स दोबारा अपने माल से हज कराये मगर जबकि वह जगह जहाँ से भेजा है वतन से क़रीब हो कि वहाँ जाकर रात के आने से पहले वापस आ सकता हो तो हो जायेगा। (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)
मसअ्ला :– माल इस क़ाबिल नहीं कि वतन से भेजा जाये तो जहाँ से हो सके भेजें फिर अगर हज के बाद कुछ बच रहा जिस से मालूम हुआ कि और इधर से भेजा जा सकता था तो वसी पर उसका तावान है लिहाज़ा दोबारा हज्जे बदल वहाँ से कराये जहाँ से हो सकता था मगर जबकि बहुत थोड़ी मिक़दार बची मसलन तोशा वग़ैरा तो हज हो गया और दोबारा भेजने की ज़रूरत नहीं।(आलमगीरी)
मसअ्ला :– अगर उसके लिए वतन न हो तो जहाँ इन्तिक़ाल हुआ वहाँ से हज को भेजा जाये और अगर कई वतन हों तो उन में जो जगह मक्कए मुअ़ज़्ज़मा से ज़्यादा क़रीब हो वहाँ से भेजे।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर यह कह गया कि तिहाई माल से एक हज करा देना तो एक हज करा दें और चन्द हज की वसीयत की और एक से ज़्यादा नहीं हो सकता तो एक हज करा दें उसके बाद जो बचे वारिस ले लें और अगर यह वसीयत की कि मेरे माल की तिहाई से हज कराया जाये या कई हज कराये जायें और कई हज हो सकते हैं तो जितने हो सकते हैं कराये जायें अब अगर कुछ बच रहा जिस से वतन से नहीं भेजा जा सकता तो जहाँ से हो सकते हैं कराये जायें और कई हज की सूरत में इख़्तियार है कि सब एक ही साल में हों या कई साल में और बेहतर अव्वल है (यानी पहला साल) है यूँही अगर यूँ वसीयत की कि मेरे माल की तिहाई से हर साल एक हज कराया जाये तो इसमें भी इख़्तियार है कि सब एक साथ हों या हर साल एक हज हो और अगर यूँ कहा कि मेरे माल में हजार रुपये से हज कराया जाये तो उसमें जितने हज हो सकें करा दिये जायें। (आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर वसी से यह कहा कि किसी को माल दे कर मेरी तरफ़ से हज्जे बदल करा देना तो वसी खुद उसकी तरफ़ से हज्जे बदल नहीं कर सकता और अगर यह कहा कि मेरी तरफ़ से हज्जे बदल करा दिया जाये तो वसी ख़ुद भी कर सकता है और अगर वसी वारिस भी है या वसी ने वारिस को माल दे दिया कि वह वारिस हज्जे बदल करे तो अब बाक़ी वारिस अगर बालिग़ हों और उनकी इजाज़त से हो तो हज्जे बदल हो सकता है वरना नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– हज की वसीयत की थी उसके इन्तिक़ाल के बाद हज के मसारिफ़ निकालने के बाद वारिसों ने माल तक़सीम कर लिया फिर वह माल जो हज के लिए निकाला था ज़ाए (बर्बाद) हो गया तो अब जो बाक़ी है उसकी तिहाई से हज का ख़र्च निकालें फिर अगर माल तल्फ़ (बर्बाद) हो जाये तो बक़िया माल की तिहाई से हज का ख़र्च इसी तरह बर्बाद होता रहे तो जब तक मय्यत का माल बाक़ी हो उसमें से तिहाई निकाल कर हज कराया जाये यहाँ तक कि माल ख़त्म हो जाये और वह माल वसी के पास से ज़ाए हुआ हो या उसके पास से जिस को हज के लिए भेजना चाहते हैं दोनों का एक हुक्म है। (मुनसक)

मसअ्ला :– जिसे हज करने के लिए भेजा वुक़ूफ़े अरफ़ा से पहले उसका इन्तिक़ाल हो गया या माल चोरी गया फिर जो माल बाक़ी रह गया उस की तिहाई से दोबारा वतन से हज करने के लिए किसी को भेजा जायें और अगर उतने में वतन से नहीं भेजा जा सकता तो जहाँ से हो सके हज के लिए भेजें और अगर दूसरा शख़्स भी मर गया या फिर माल चोरी हो गया तो अब जो कुछ माल है उसकी तिहाई से भेजा जाये और जब तक ऐसा हादिसा होता रहे मय्यत के तिहाई माल से हज्जे बदल कराने की कोशिश करते रहें यहाँ तक कि माल की तिहाई इस क़ाबिल न रहे कि उससे हज हो सके तो वसीयत बातिल हो गई और वुक़ूफ़े अरफ़ा के बाद मरा तो वसीयत पूरी हो गई।(दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– जिसे भेजा था वह वुक़ूफ़ करके बग़ैर तवाफ़ किये वापस आया तो मय्यत का हज हो गया मगर इसे औरत के पास जाना हलाल नहीं ,इसे हुक्म है कि अपने ख़र्च से वापस जाये और जो अफ़आल बाक़ी हैं अदा करे। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– वसी ने किसी को इस साल हज्जे बदल के लिए मुक़र्रर किया और ख़र्च भी दे दिया मगर वह इस साल न गया आइन्दा साल जाकर अदा किया तो अदा हो गया उस पर तावान नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिसे भेजा वह मक्कए मुअज़्ज़मा में जाकर बीमार हो गया और सारा माल ख़र्च हो गया तो वसी के ज़िम्मे वापसी के लिए ख़र्च भेजना लाज़िम नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिसे हज के लिए मुक़र्रर किया वह बीमार हो गया तो उसे यह इख़्तियार नहीं कि दूसरे को भेज दे, हाँ अगर भेजने वाले ने उसे इजाज़त दे दी हो तो दूसरे को भेज सकता है लिहाज़ा भेजते वक़्त चाहिए कि यह इजाज़त दे दी जाये। (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर उससे यह कह दिया कि ख़र्चा ख़त्म हो जाये तो क़र्ज़ ले लेना और उसका अदा करना मेरे ज़िम्मे है तो जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एहराम के बाद रास्ते में माल चोरी हो गया इसने अपने पास से ख़र्च करके हज किया और वापस आया तो क़ाज़ी के हुक्म के बग़ैर भेजने वाले से वुसूल नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– यह वसीयत की कि फ़ुलाँ शख़्स मेरी तरफ़ से हज करे और वह शख़्स मर गया तो किसी और को भेज दें मगर जबकि हस्र(ख़ास) कर दिया हो कि वही करे दूसरा नहीं तो मजबूरी है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने अपनी तरफ़ से पैदल हज करने के लिए ख़र्च दे कर भेजा इसके बाद उसका इन्तिक़ाल हो गया और हज की वसीयत न की तो वारिस उस शख़्स से माल वापस ले सकते हैं अगर्चे एहराम बाँध चुका हो। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मसारिफ़े हज से मुराद वह चीज़ें हैं जिनकी सफ़रे हज में ज़रूरत पड़ती है मसलन खाना, पानी, रास्ते में पहनने के कपड़े, एहराम के कपड़े, सवारी का किराया, मकान का किराया मशकीज़ा, खाने पीने के बर्तन, जलाने और सर में डालने का तेल, कपड़े धोने के साबुन, पहरा देने वाले की उजरत, हजामत की बनवाई, ग़रज़ जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनके अख़राजात दरमियानी कि न फ़ुज़ूल ख़र्ची हो न बहुत कमी और इसको यह इख़्तियार नहीं कि उस माल से ख़ैरात करे या खाना फ़क़ीरों को दे दे या खाते वक़्त दूसरों को भी खिलाये हाँ अगर भेजने वाले ने इन कामों की इजाज़त दे दी हो तो कर सकता है। (लुबाब)

मसअ्ला :– जिसको भेजा है अगर वह अपने काम अपने आप किया करता था और अब ख़ादिम से काम लिया तो ख़ादिम का ख़र्च खुद इसके ज़िम्मे है और अगर खुद नहीं करता था तो भेजने वाले के ज़िम्मे हैं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– हज से वापसी के बाद जो कुछ बचा वापस कर दे उसे रख लेना जाइज़ नहीं अगर्चे वह कितनी ही थोड़ी सी चीज़ हो यहाँ तक कि तोशे (खाने–पीने)में से कुछ बचा वह और कपड़े और बरतन ग़रज़ तमाम सामान वापस कर दे बल्कि अगर शर्त कर ली हो कि जो बचेगा वापस न करूँगा जब भी वापस कर दे कि यह शर्त बातिल है मगर दो सूरतों में अव्वल यह है कि भेजने वाला उसे वकील कर दे कि जो बचे उसे अपने लिए तू जाइज़ कर लेना और क़ब्ज़ा कर लेना दोम यह कि मरने के क़रीब हो तो वसीयत कर दे कि जो बचे उसकी मैंने तुझे वसीयत की और अगर यूँ वसीयत की कि वसी से कह दिया कि जो बचे वह उसके लिए है जो भेजा जाये या तू जिसे चाहे दे दे तो यह वसीयत बातिल है वारिस का हक़ हो जायेगा और वापस करना पड़ेगा।(दुर्रे मुख़्तार,रदुल मुहतार)

मसअ्ला :– यह वसीयत की कि एक हज़ार फ़ुलाँ को दिया जाये और एक हज़ार मिस्कीनों को

और एक हज़ार से हज कराया जाये और तर्का की तिहाई कुल दो हज़ार है तो दो हज़ार में बराबर–बराबर के तीन हिस्से किये जायें एक हिस्सा तो उसे दें जिस के लिए कहा और हज व मिस्कीनों के दोनों हिस्से मिला कर जितने से हज हो सके हज कराया जाये और जो बचे मिस्कीनों को दिया जाये। (आलमगीरी वगैरा)

मसअला :– ज़कात व हज और किसी को देने की वसीयत की तो तिहाई के तीन हिस्से करें और ज़कात व हज में जिसे उसने पहले कहा उसे पहले करें उससे जो बचे दूसरे में ख़र्च करें फ़र्ज़ और मन्नत की वसीयत की तो फ़र्ज़ मुक़द्दम है यानी फ़र्ज़ पहले अदा किया जाये और नफ़्ल और नज़्र में नज़्र मुक़द्दम है और सब फ़र्ज़ या नफ़्ल या वाजिब हैं तो मुक़द्दम वह है जिसे उसने पहले कहा। (रद्दुल मुहतार)

हदी का बयान

अल्लाह तआला फ़रमाता है :–

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ٥ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ إِلٰى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ٥ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ ط

तर्जमा :– "और जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे तो यह दिलों की परहेज़गारी से है तुम्हारे लिए चौपायों में एक मुकर्ररा मीआद तक फ़ायदे हैं फिर उनका पहुँचना है इस आज़ाद घर तक और हर उम्मत के लिए हम ने एक कुर्बानी मुक़र्रर की कि अल्लाह का नाम ज़िक्र करें उन बे–ज़बानचौपायों पर जो उसने उन्हें दिये"।

और फ़रमाता है:–

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ق صلے فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ج فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ط كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ٥ لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ ط وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ٥

तर्जमा :– "और कुर्बानी के ऊँट,गाय हमने तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियों से किये तुम्हारे लिये उनमें भलाई है तो उन पर अल्लाह का नाम लो एक पाँव बँधे तीन पाँव से खड़े फिर जब उनकी करवटें गिर जायें तो उन में से खुद खाओ और कनाअत करने वाले और भीक माँगने वाले को खिलाओ। यूँही हमने उनको तुम्हारे काबू में कर दिया कि तुम एहसान मानो,अल्लाह को हरगिज़ न उनके गोश्त पहुँचते हैं न उनके ख़ून, हाँ उस तक तुम्हारी परहेज़गारी पहुँचती है यूँही उनको तुम्हारे काबू में कर दिया कि तुम अल्लाह की बड़ाई बोलो इस पर कि उस ने तुम्हें हिदायत फ़रमाई और खुशख़बरी पहुँचा दो नेकी करने वालों को।"

हदीस न. 1:– सहीहैन में उम्मुलमोमिनीन सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कहती हैं मैंने नबी सल्लल्लाहु तआलो अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों के हार अपने हाथ से बनाये फिर हुज़ूर ने उनके गलों में डाले और उनके कोहान चीरे और हरम को रवाना कीं।

हदीस न.2 :– सहीह मुस्लिम शरीफ़ में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दसवीं ज़िलहिज्जा को हज़रते आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा की तरफ़ से एक गाय ज़िबह फ़रमाई और दूसरी रिवायत में है कि अज़वाजे मुतह्हरात

(मुक़द्दस बीवियों)की तरफ़ से हज में गाय ज़िबह की।
हदीस न.3 :– सहीह मुस्लिम शरीफ़ में इब्ने जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं मैंने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि जब तू मजबूर हो जाये तो हदी पर मारूफ़ के साथ सवार हो जब तक दूसरी सवारी न मिले।
हदीस न.4 :– सहीह मुस्लिम शरीफ़ में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सोलह (16)ऊँट एक शख़्स के साथ हरम को भेजे उन्होंने अर्ज़ की इनमें से अगर कोई थक जाये तो क्या करूँ। फ़रमाया उसे नहर कर देना और ख़ून से उसके पाँव रंग देना और पहलू पर ख़ून का छापा लगा देना और उसमें से तुम और तुम्हारे साथियों में से कोई न खाये।
हदीस न.5 :– सहीहैन में अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने कुर्बानी के जानवरों पर मामूर फ़रमाया और मुझे हुक्म फ़रमाया कि गोश्त और खालें और झूल सदक़ा कर दूँ और क़स्साब को उसमें से कुछ न दूँ फ़रमाया कि हम उसे अपने पास से देंगे।
हदीस न.6 :– अबूदाऊद अब्दुल्लाह इब्ने किर्त रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि पाँच या छह ऊँट हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में कुर्बानी के लिए पेश किये गये वह सब हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से क़रीब होने लगे कि किस से शुरूअ़ फ़रमायें (यानी हर एक की यह ख़्वाहिश थी कि पहले मुझे ज़बह फ़रमायें या इसलिए कि पहले जिसे चाहें ज़िबह फ़रमायें) फिर जब उनकी करवटें ज़मीन से लग गईं तो फ़रमाया जो चाहे टुकड़ा लेले।
मसअला :– हदी उन जानवर को कहते हैं जो कुर्बानी के लिए हरम को ले जाया जाये यह तीन क़िस्म के जानवर हैं। (1) बकरी,इसमें भेड़ और दुम्बा भी दाख़िल है (2)गाय–भैंस भी इसी में शुमार है (3)ऊँट। हदी का अदना दर्जा बकरी है तो अगर किसी ने हरम को कुर्बानी भेजने की मन्नत मानी और मुअय्यन न की तो बकरी काफ़ी है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)
मसअला :– कुर्बानी की नीयत से भेजा या ले गया जब तो ज़ाहिर है कि कुर्बानी है और अगर बदना के गले में हार डाल कर हाँका जब भी हदी है अगर्चे नीयत न हो इसलिए कि इस तरह कुर्बानी ही को ले जाते हैं। (रद्दुलमुहतार)
मसअला :– कुर्बानी के जानवर में जो शर्तें हैं वह हदी के जानवर में भी हैं मसलन ऊँट पाँच साल का, गाय दो साल की, बकरी एक साल की। ,मगर भेड़ दुम्बा छह महीने का अगर साल भर वाली की मिस्ल हो तो हो सकता है और ऊँट,गाय में यहाँ भी सात आदमी की शिरकत हो सकती है। (दुर्रे मुख़्तार)
मसअला :– ऊँट,गाय के गले में हार डाल देना मसनून (सुन्नत)है और बकरी के गले में हार डालना सुन्नत नहीं मगर सिर्फ़ शुक्राना यानी तमत्तोअ़ व किरान और नफ़्ल व मन्नत की कुर्बानी में हार डाल देना सुन्नत है एहसार व जुर्माना के दम में न डालें। (आलमगीरी)
मसअला :– हदी अगर किरान या तमत्तोअ़ का हो तो उस में से कुछ खा लेना बेहतर है यूँही अगर नफ़्ल हो और हरम को पहुँच गया हो। और अगर हरम को न पहुँचा तो खुद नहीं खा सकता फ़ुक़रा का हक़ है और इन तीन के इलावा नहीं खा सकता और जिसे खुद खा सकता है मालदारों

को भी खिला सकता है,नहीं तो नहीं और जिस को खा नहीं सकता उसकी खाल वग़ैरा से भी नफ़ा नहीं ले सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :– तमत्तोअ् व क़िरान की क़ुर्बानी दसवीं से पहले नहीं हो सकती और दसवीं के बाद की तो हो जायेगी मगर दम लाज़िम है कि ताख़ीर जाइज़ नहीं और इन दो के अलावा के लिए कोई दिन मुअय्यन नहीं और बेहतर दसवीं है। हरम में होना सब में ज़रूरी है मिना की ख़ुसूसियत नहीं हाँ दसवीं को हो तो मिना में होना सुन्नत है और दसवीं के बाद मक्का में सुन्नत है। मन्नत के बदना का हरम में ज़िबह होना शर्त नहीं जबकि मन्नत में हरम की शर्त न लगाई।(आलमगीरी,दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :– हदी का गोश्त हरम के मिस्कीनों को देना बेहतर है उसकी नकेल और झूल को ख़ैरात कर दें और क़स्साब को उसके गोश्त में से न दें हाँ अगर उसे ब–तौरे सदक़ा दें तो हरज नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :– हदी के जानवर पर बिला ज़रूरत सवार नहीं हो सकता न उस पर सामान लाद सकता है अगर्चे नफ़्ल हो और ज़रूरत के वक़्त सवार हुआ या सामान लादा और उसकी वजह से उसमें कुछ नुक़सान आया तो उतना मोहताजों पर सदक़ा करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर यह दूध वाला जानवर है तो दूध न दूहे और थन पर ठन्डा पानी छिड़क दिया करे कि दूध मौक़ूफ़ हो जाये यानी रुक जाये और अगर ज़बह में कुछ वक़्फ़ा यानी देर हो और न दूहने से ज़रर (नुक़सान)होगा तो दूह कर दूध ख़ैरात कर दे और अगर ख़ुद खा लिया या ग़नी को दे दिया या ज़ाए (बर्बाद) कर दिया तो उतना ही दूध या उसकी क़ीमत मिस्कीनों पर सदक़ा करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर वह बच्चा जनी तो बच्चे को सदक़ा कर दे या उसे भी उसके साथ ज़बह कर दे और अगर बच्चा को बेच डाला या हलाक कर दिया तो क़ीमत को सदक़ा कर दे और उस क़ीमत से क़ुर्बानी का जानवर ख़रीद लिया तो बेहतर है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– ग़लती से इसने दूसरे के जानवर को ज़िबह कर दिया और दूसरे ने इसके जानवर को तो दोनों की क़ुर्बानियाँ हो गई (मुन्सक)

मसअ्ला :– अगर जानवर हरम को ले जा रहा था रास्ते में मरने लगा तो उसे वहीं ज़िबह कर डाले और ख़ून से उस का हार रंग दे और कोहान पर छापा लगा दे ताकि उसे मालदार लोग न खायें फ़क़ीर ही खायें फिर अगर वह नफ़्ल था तो उसके बदले का दूसरा जानवर ले जाना ज़रूरी नहीं और अगर वाजिब था तो उसके बदले का दूसरा जानवर ले जाना वाजिब है और अगर उसमें कोई ऐसा ऐब आ गया कि क़ुर्बानी के क़ाबिल न रहा तो उसे जो चाहे करे और उसके बदले दूसरा ले जाये जबकि वाज़िब हो। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :– जानवर हरम को पहुँच गया और वहाँ मरने लगा तो उसे ज़बह करके मिस्कीनों पर सदक़ा करे और ख़ुद न खाये अगर्चे नफ़्ल हो और अगर उसमें थोड़ा सा नुक़सान पैदा हुआ है कि अभी क़ुर्बानी के क़ाबिल है तो क़ुर्बानी करे और ख़ुद भी खा सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जानवर चोरी गया उसके बदले का दूसरा ख़रीदा और उसे हार डाल कर ले चला फिर वह चोरी गया हुआ जानवर मिल गया तो बेहतर यह है कि दोनों की क़ुर्बानी कर दे और अगर पहले की क़ुर्बानी की और दूसरे को बेच डाला तो यह भी हो सकता है और अगर पिछले को ज़िबह किया और पहले को बेच डाला तो अगर वह उसकी क़ीमत में बराबर था या ज़्यादा तो काफ़ी है और कम है तो जितनी कम हुई सदक़ा कर दे। (आलमगीरी)

हज की मन्नत का बयान

हज की मन्नत मानी तो हज करना वाजिब हो गया कफ़्फ़रा देने से बरीउज़्ज़िमा न होगा चाहे यूँ कहा कि अल्लाह के लिए मुझ पर हज है या किसी काम के होने पर हज को मशरूत किया (शर्त लगाया)और वह काम हो गया। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एहराम बाँधने या कअ्बए मुअ़ज़्ज़मा या मक्का मुकर्रमा जाने की मन्नत मानी तो हज या उ़मरा उस पर वाजिब है और एक को मुअ़य्यन कर लेना उसके ज़िम्मे है। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– पैदल हज करने की मन्नत मानी तो वाजिब है कि घर से तवाफ़े फ़र्ज़ तक पैदल ही रहे और पूरा सफ़र या अकसर सवारी पर किया तो दम दे और अगर अकसर पैदल रहा और कुछ सवारी पर तो उसी हिसाब से बकरी की क़ीमत का जितना हिस्सा उसके मुक़ाबिल आये ख़ैरात करे। पैदल उ़मरा की मन्नत मानी तो सर मुंडाने तक पैदल रहे। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– एक साल में जितने हज की मन्नत मानी सब वाजिब हो गये। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– लौंडी,ग़ुलाम मुहरिम को ख़रीदना जाइज़ है और मुशतरी (ख़रीदने वाले) को इख़्तियार है कि एहराम तुड़वा दे अगर्चे उन्होंने अपने पहले मौला की इजाज़त से एहराम बाँधे हों और एहराम तोड़ने के लिए फ़क़त यह कह देना काफ़ी नहीं कि एहराम तोड़ दिया बल्कि कोई ऐसा काम करना ज़रूरी है जो एहराम में मना था मसलन बाल या नाखुन तरशवाना या ख़ुशबू लगाना इसकी ज़रूरत नहीं कि हज के अफ़आ़ल बजा लाकर एहराम तोड़े और कुर्बानी भेजना भी ज़रूरी नहीं मगर आज़ादी के बाद कुर्बानी और हज व उ़मरा वाजिब है अगर हज का एहराम था तो हज वाजिब है और अगर उ़मरा का एहराम् था तो उ़मरा वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– अफ़ज़ल यह है कि उस ख़रीदी हुई लौंडी का एहराम जिमा के अ़लावा किसी और चीज़ और से खुलवा दे और जिमा से भी एहराम खुल जायेगा मगर जबकि उसे यह मालूम न हो कि एहराम से है और जिमाअ् कर लिया तो हज फ़ासिद हो जायेगा। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर मौला ने एहराम खुलवा दिया फिर उसने बाँधा फिर खुलवा दिया अगर चन्द बार इसी तरह हुआ फिर उसी साल एहराम बाँध कर हज कर लिया तो काफ़ी हो गया और अगर आने वाले साल हज किया तो हर बार एहराम खोलने का एक–एक उ़मरा करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एहराम की हालत में निकाह हो सकता है किसी एहराम वाली औ़रत से निकाह किया तो अगर नफ़्ल का एहराम है खुलवा सकता है और फ़र्ज़ का है तो दो सूरतें हैं अगर औ़रत का महरम साथ में है तो नहीं खुलवा सकता और महरम साथ में न हो तो फ़र्ज़ का एहराम भी खुलवा सकता है और अगर उसका मुहरिमा होना मालूम न हो और जिमा कर लिया तो हज फ़ासिद हो गया। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुसाफ़िरख़ाना बनाना नफ़्ल हज से अफ़ज़ल है और नफ़्ल हज नफ़्ल सदक़ा से अफ़ज़ल है। अ़ल्लामा शामी ने निहायत नफ़ीस हिकायत इस बयान में नक़ल फ़रमाई कि एक साहब हज़ार अशरफ़ियाँ लेकर नफ़्ल हज को जा रहे थे एक सय्यिदानी तशरीफ़ लाईं और अपनी ज़रूरत ज़ाहिर फ़रमाई उन्होंने सब अशरफ़ियाँ नज़र कर दीं और वापस आये जब वहाँ के लोग हज से

वापस हुए तो हर हाजी उनसे कहने लगा अल्लाह तुम्हारा हज कबूल फ़रमाये उन्हें तअ़ज्जुब हुआ कि क्या मामला है मैं तो हज को गया नहीं यह लोग ऐसा क्यूँ कहते हैं ख़्वाब में ज़्यारते अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से मुशर्रफ़ हुए,सरकार ने इरशाद फ़रमाया क्या तुझे लोगों की बात से तअ़ज्जुब हुआ। अ़र्ज़ की हाँ या रसूलल्लाह! फ़रमाया कि तूने जो मेरी अहलेबैत की ख़िदमत की उसके इवज़ में अल्लाह तआ़ला ने तेरी सूरत का एक फ़रिश्ता पैदा फ़रमाया कि जिसने तेरी तरफ़ से हज किया और क़ियामत तक हज करता रहेगा।

मसअ्ला :– हज तमाम गुनाहों का कफ़्फ़ारा है यानी फ़राइज़ की ताख़ीर का जो गुनाह उसके ज़िम्मे है वह इन्शा अल्लाह तआ़ला महव यानी ख़त्म हो जायेगा वापस आकर अदा करने में फिर देर की तो फिर यह नया गुनाह हुआ। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– वुक़ूफ़े अरफ़ा जुमा के दिन हो तो इसमें बहुत सवाब है कि यह दो ईदों का इजतिमा है और इसी को लोग हज्जे अकबर कहते हैं।

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا زِيَارَةَ حَرَمِكَ وَ حَرَمِ حَبِيْبِكَ بِجَاهِهٖ عِنْدَكَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ ابْنِهٖ وَ حِزْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

फ़ज़ाइले मदीना तय्यिबा

हदीस न.1 :– सहीह मुस्लिम व तिर्मिज़ी में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मदीना की तकलीफ़ व शिद्दत पर मेरी उम्मत में से जो कोई सब्र करे क़ियामत के दिन मैं उसका शफ़ीअ़ (सिफ़ारिश करने वाला) होंगा।

हदीस न.2,3 :– नीज़ मुस्लिम में सअ़द रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया मदीना लोगों के लिए बेहतर है अगर जानते। मदीना को जो शख़्स बतौरे एअ़राज़(नापसन्दीदगी के तौर पर) छोड़ेगा अल्लाह तआ़ला उसके बदले में उसे लायेगा जो उस से बेहतर होगा और मदीना की तकलीफ़ व मशक़्क़त पर जो साबित क़दम रहेगा रोज़े क़ियामत मैं उसका शफ़ीअ़ या शहीद (गवाह)होंगा। और एक रिवायत में है जो शख़्स अहले मदीना के साथ बुराई का इरादा करेगा अल्लाह उसे आग में इस तरह पिघलायेगा जैसे सीसा, या इस तरह जैसे नमक पानी में घुल जाता है। इसी की मिस्ल बज़्ज़ार ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की।

हदीस न.4 :– सहीहैन में सुफ़यान इब्ने ज़ुहैर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कहते हैं मैंने रसूलुल्ला सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि यमन फ़तह होगा उस वक़्त कुछ लोग दौड़ते हुए आयेंगे और अपने घर वालों को और उनको जो उनकी इताअ़त में हैं ले जायेंगे हालाँकि मदीना उनके लिए बेहतर है अगर जानते,और शाम फ़तह होगा कुछ लोग दौड़ते आयेंगे और अपने घर वालों और फ़रमाँबरदारों को ले जायेंगे हालाँकि मदीना उनके लिए बेहतर है अगर जानते।

हदीस न.5 :– तबरानी कबीर में अबी उसैद साइदी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कहते हैं हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के हमराह हज़रते हमज़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु की क़ब्र पर हाज़िर थे(उनके कफ़न के लिए सिर्फ़ एक कमली थी जब लोग उसे खींच कर उनका

मुँह छुपाते कदम खुल जाते और कदम पर डालते तो चेहरा खुल जाता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि सल्लम ने फ़रमाया इस कमली से मुँह छुपा दो और पाँव पर यह घास डाल दो)फिर हुजूर ने सरे अक़दस उठाया सहाबा को रोता पाया इरशाद फ़रमाया लोगों पर एक ज़माना आयेगा कि सरसब्ज़ मुल्क की तरफ़ चले जायेंगे वहाँ खाना और लिबास और सवारी उन्हें मिलेगी फिर वहाँ से अपने घर वालों को लिख भेजेंगे कि हमारे पास चले आओ कि तुम हिजाज़ की खुश्क ज़मीन में पड़े हो हालाँकि मदीना उनके लिए बेहतर है अगर जानते।

हदीस न.6 से 8 :– तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व इब्ने हब्बान व बैहक़ी इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिससे हो सके कि मदीना में मरे तो मदीना ही में मरे कि जो शख़्स मदीना में मरेगा मैं उसकी शफ़ाअत फ़रमाऊँगा। और इसी की मिस्ल समीता और सबीआ असलमिया रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है।

मदीना तय्यिबा की बरकतें

हदीस न.9 :– सहीह मुस्लिम वग़ैरा में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि लोग जब शुरूअ्–शुरूअ् फल देखते उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमते अक़दस में हाज़िर लाते हुजूर उसे लेकर यह कहते इलाही तू हमारे लिए हमारी खजूरों में बरकत दे और हमारे लिए हमारे मदीना में बरकत कर और हमारे साअ् व मुद (अरबी पैमाने)में बरकत कर। या अल्लाह ! बेशक इब्राहीम तेरे बन्दे और तेरे ख़लील और तेरे नबी हैं और बेशक मैं तेरा बन्दा और तेरा नबी हूँ उन्होंने मक्का के लिए तुझ से दुआ की और मैं मदीना के लिए तुझ से दुआ करता हूँ उसी की मिस्ल जिसकी दुआ मक्का के लिए उन्होंने की और उतनी ही और (यानी मदीना की बरकतें मक्का से दोगुनी हों) फिर जो छोटा बच्चा सामने होता उसे बुलाकर वह खजूर अता फ़रमा देते।

हदीस न.10 से 13 :– सहीह मुस्लिम में उम्मुलमोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी कि रसूलुल्ला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अल्लाह! तू मदीना को हमारा महबूब बना दे जैसे हम को मक्का महबूब है बल्कि उस से ज़्यादा और इसकी आब व हवा को हमारे लिए दुरुस्त फ़रमा दे और इसके साअ् व मुद में बरकत अता फ़रमा और यहाँ के बुख़ार को मुनतक़िल करके जुहफ़ा को भेज दे (यह दुआ उस वक़्त की थी जब हिजरत करके मदीना में तशरीफ़ लाये और यहाँ की आब व हवा सहाबा किराम को नामुवाफ़िक़ हुई कि पहले वबाई बीमारीयाँ ब–कसरत होती)यह मज़मून कि हुजूर ने मदीना तय्यिबा के वास्ते दुआ की कि मक्का से दोगुनी यहाँ बरकतें हों मौला अली व अबूसईद व अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से भी मरवी हैं।

अहले मदीना के साथ बुराई करने के नतीजे

हदीस न.14 :– सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में सअ्द रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्ललाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो शख़्स अहले मदीना के साथ फ़रेब धोका करेगा ऐसा घुल जायेगा जैसे नमक पानी में घुलता है।

हदीस न.15 :– इब्ने हब्बान अपनी सहीह में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो अहले मदीना को डरायेगा अल्लाह उसे ख़ौफ़ में डालेगा।

हदीस न.16,17 :– तबरानी उबादा इब्ने सामित रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह! जो अहले मदीना पर जुल्म करे और उन्हें डराये, उसे खौफ़ में मुबतला कर और उस पर अल्लाह और फ़रिश्तों और तमाम आदमियों की लानत और उसका न फ़र्ज़ कबूल किया जाये न नफ़्ल। इसी की मिस्ल नसई और तबरानी ने साइब इब्ने खल्लाद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की।

हदीस न.18 :– तबरानी कबीर में अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्ला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अहले मदीना को ईज़ा (तकलीफ़)देगा अल्लाह तआला उसे ईज़ा देगा, और उस पर अल्लाह और फरिश्तों और तमाम आदमियों की लानत, और उसका न फर्ज़ कबूल किया जाये न नफ़्ल।

हदीस न.19 :– सहीहैन में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे एक ऐसी बस्ती की तरफ़ **'हिजरत'** करने का हुक्म हुआ जो तमाम बस्तियों को खा जायेगी (सब पर गालिब आ जायेगी) लोग उसे **'यसरिब'** कहते हैं और वह मदीना है लोगों को इस तरह पाक साफ करेगी जैसे भट्टी लोहे के मैल को।

नोट :– हिजरत से पेश्तर लोग 'यसरिब' कहते थे मगर इस नाम से पुकारना जाइज़ नहीं कि हदीस में इसकी मनाही आई है बाज़ शाइर अपने अशआर में मदीना तय्यिबा को यसरिब लिखा करते हैं उन्हें इससे बचना लाज़िम है और ऐसे शेर को पढ़ें तो इस लफ़्ज़ की जगह तैबा या तय्यिबा पढ़ें कि यह नाम हुज़ूर ने रखा है बल्कि सहीह मुस्लिम शरीफ़ में है कि अल्लाह तआला ने मदीना का नाम 'ताबा' रखा है।

हदीस न. 20 :– सहीहैन में उन्हीं से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मक्का व मदीना के सिवा कोई शहर ऐसा नहीं कि वहाँ दज्जाल न आये मदीने का कोई रास्ता ऐसा नहीं जिस पर मलाइका परा (सफ़)बाँध कर पहरा न देते हों दज्जाल (मदीना के करीब) शोर (खारी) ज़मीन में आकर उतरेगा उस वक़्त मदीना में तीन ज़लज़ले होंगे जिनसे हर काफ़िर व मुनाफ़िक़ यहाँ से निकल कर दज्जाल के पास चला जायेगा।

सरकारे आज़म हुज़ूर हबीबे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहरे मुबारक मदीना तय्यिबा की हाज़िरी

अल्लाह तआला फरमाता है : –

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۝

तर्जमा :– "अगर लोग अपनी जानों पर ज़ुल्म करें और तुम्हारे हुज़ूर हाज़िर होकर अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें और रसूल भी उनके लिए इस्तिग़फ़ार करें तो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला पायेंगे।

हदीस न.1:– दारकुतनी व बैहकी वग़ैराहुमा अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरी कब्र की ज़्यारत करे उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब है।

हदीस न.2 :– तबरानी कबीर में उन्हीं से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरी ज़्यारत को आये और वह सिवा मेरी ज़्यारत के और किसी काम से न आया तो मुझ पर हक़ है कि कियामत के दिन उसका शफ़ीअ़ बनूँ।

हदीस न.3 :– दारकुतनी व तबरानी उन्हीं से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने हज किया और मेरी वफ़ात के बाद मेरी कब्र की ज़्यारत की तो ऐसा है जैसे मेरी हयात (ज़िन्दगी)में ज़्यारत से मुशर्रफ़ हुआ।

हदीस न.4 :– बैहक़ी ने हातिब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरी वफ़ात के बाद मेरी ज़्यारत की तो गोया उसने मेरी ज़िन्दगी में ज़्यारत की और जो हरमैन में मरेगा कियामत के दिन अमन वालों में उठेगा।

हदीस न.5 :– बैहक़ी हज़रते उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्ललाहु तआला अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते सुना जो शख़्स मेरी ज़्यारत करेगा। कियामत के दिन मैं उसका शफ़ीअ़ या शहीद (गवाह) होंगा और जो हरमैन में मरेगा अल्लाह तआला उसे कियामत के दिन अमन वालों में उठायेगा।

हदीस न.6 :– इब्ने अदी कामिल में उन्हीं से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने हज किया और मेरी ज़्यारत न की उसने मुझ पर जफ़ा की।

(1)ज़्यारते अक़दस वाजिब के क़रीब है बहुत लोग दोस्त बन कर तरह–तरह से डराते हैं कि राह में ख़तरा है वहाँ बीमारी है यह है वह है। ख़बरदार ! किसी की न सुनो और हरगिज़ महरूमी का दाग़ लेकर न पलटो। जान एक दिन ज़रूर जानी है तो इससे क्या बेहतर कि उनकी राह में जाये और तजरबा यह है कि जो उनका दामन थाम लेता है उसे अपने साये में आसम से ले जाते हैं कील–का खटका नहीं होता।

हम को तो अपने साये में आराम ही से लाये।
हीले बहाने वालों को यह राह डर की है।

(2)हाज़िरी में ख़ालिस ज़्यारते अक़दस की नीयत करो यहाँ तक कि इमाम इब्ने हुमाम फ़रमाते हैं इस बार मस्जिद शरीफ़ की नीयत भी शरीक न करे।

(3)हज अगर फ़र्ज़ है तो हज करके मदीना तय्यिबा हाज़िर हो, हाँ अगर मदीना तय्यिबा रास्ते में हो तो बग़ैर ज़्यारत हज को जाना सख़्त महरूमी व क़सावते क़ल्बी (संगदिली)है और इस हाज़िरी को हज के कबूल होने और दीनी व दुनियवी भलाई के लिए ज़रीआ व वसीला क़रार दे और नफ़्ल हज हो तो इख़्तियार है कि पहले हज से पाक साफ़ होकर महबूब के दरबार में हाज़िर हो या सरकार में पहले हाज़िरी देकर हज की मकबूलियत व नूरानियत के लिए वसीला करे ग़रज़ जो चाहे पहले इख़्तियार करे उसे इख़्तियार है मगर नीयते ख़ैर ज़रूरी है कि إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوىٰ

तर्जमा :– " आमाल का दारोमदार नियतों पर है और हर एक के लिए वह है तो जो उसने नियत की"। (4) रास्ते भर दुरूद व ज़िक्र शरीफ़ में डूब जाओ और जिस क़द्र मदीना तय्यिबा क़रीब आता जाये शौक़ व ज़ौक़ ज़्यादा होता जाये।

(5) जब हरमे मदीना आये बेहतर यह है कि पैदल हो लो रोते सर झुकाये आँखें नीची दूरूद शुरूफ़

की और कसरत करो और हो सके तो नंगे पाँव चलो बल्कि–

जाए सरस्त ई कि तू पा मीनिही
पाए न बीनी कि कुजा मीनिही
यानी
हरम की ज़मीं और क़दम रख के चलना,
अरे सर का मौक़ा है ओ जाने वाले!

जब क़ुब्बाए अनवर पर निगाह पड़े दूरूद व सलाम की ख़ूब कसरत करो।

(6) जब शहरे अक़दस तक पहुँचो जलाल व जमाले महबूब सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के तसव्वुर में ग़र्क़ हो जाओ और दरवाज़ए शहर में दाख़िल होते वक़्त पहले दहना क़दम रखो और यह पढ़ो

بِسْمِ اللّٰهِ مَاشَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ .رَبِّ اَدْخِلْنِیْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِیْ مُخْرَجَ صِدْقٍ.اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ .وَارْزُقْنِیْ مِنْ زِیَارَةِ رَسُوْلِكَ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ مَا رَزَقْتَ اَوْلِیَآئَكَ وَ اَهْلَ طَاعَتِكَ وَ اَنْقِذْنِیْ مِنَ النَّارِ وَ اغْفِرْلِیْ وَ ارْحَمْنِیْ یَا خَیْرَ مَسْئُوْلٍ.

तर्जमा :– "अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ,जो अल्लाह ने चाहा, नेकी की ताक़त नहीं मगर अल्लाह से ऐ रब सच्चाई के साथ मुझ को दाख़िल कर और सच्चाई के साथ बाहर ले जा। इलाही तू अपनी रहमत के दरवाज़े मेरे लिए खोल दे और अपने रसूल सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ज़्यारत से मुझे ,वह नसीब कर जो अपने औलिया और फ़रमांबरदार बन्दों के लिए तूने नसीब किया और मुझे जहन्नम से नजात दे और मुझको बख़्श दे और मुझ पर रहम फ़रमा। ऐ बेहतर सवाल किये गये!"

(7)मस्जिदे नबवी शरीफ़ की हाज़िरी से पहले तमाम ज़रूरियात से जिनका लगाव दिल बटने का बाइस (सबब)हो निहायत जल्द फ़ारिग़ हो उनके सिवा किसी बेकार बात में मशग़ूल न हो फ़ौरन वुज़ू व मिस्वाक करो और ग़ुस्ल बेहतर है,सफ़ेद पाकीज़ा कपड़े पहनो और नये बेहतर हैं ,सुर्मा और ख़ुश्बू लगाओ और मुश्क अफ़ज़ल है।

(8)अब फ़ौरन आस्तानए अक़दस की तरफ़ निहायत ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ से मुतवज्जेह हो! रोना न आये तो रोने का मुँह बनाओ ,और दिल को ज़ोर से रोने पर लाओ और अपनी संग दिली से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ़ इल्तिजा करो।

(9)जब मस्जिदे नबवी शरीफ़ के दरवाज़े पर हाज़िर हो सलात (दूरूद) व सलाम अ़र्ज़ करके थोड़ा ठहरो जैसे सरकारे दो आ़लम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से हाज़िरी की इजाज़त माँगते हो। फिर बिस्मिल्लाह कह कर सीधा पाँव पहले रख कर ख़ूब अदब के साथ दाख़िल हो।

(10)उस वक़्त जो अदब व ताज़ीम फ़र्ज़ है हर मुसलमान का दिल जानता है। आँख, कान, ज़बान, हाथ, पाँव, दिल, सब ग़ैर के ख़्याल से पाक करो मस्जिदे अक़दस के नक़्श व निगार न देखो।

(11)अगर कोई ऐसा सामने आये जिससे सलाम–कलाम ज़रूरी हो तो जहाँ तक बने कतरा जाओ वरना ज़रूरत से ज़्यादा न बढ़ो फिर भी दिल सरकार ही की तरफ़ हो।

(12) हरगिज़–हरगिज़ मस्जिदे अक़दस में कोई हर्फ़ (बात) चिल्ला कर न निकले।

(13)यक़ीन जानो कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम सच्ची हक़ीक़ी दुनियावी जिस्मानी हयाते तय्यिबा से वैसे ही ज़िन्दा हैं जैसे वफ़ात शरीफ़ से पहले थे उनकी और तमाम अम्बिया अ़लैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मौत सिर्फ़ वादए ख़ुदा की तस्दीक़ को एक आन के लिए थी उनका इन्तिक़ाल सिर्फ़ अ़वाम की नज़र से छुप जाना है। इमाम मुहम्मद इब्ने हाज मक्की 'मुदख़ल'और इमाम अहमद कस्तलानी 'मवाहिबे लदुन्निया' में और दूसरे अइम्मए दीन रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैहिम अजमाईन फ़रमाते हैं :–

لَا فَرْقَ بَيْنَ مَوْتِهٖ وَ حَيَاتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. فِىْ مُشَاهَدَتِهٖ لِاُمَّتِهٖ وَ مَعْرِفَتِهٖ بِاَحْوَالِهِمْ وَ نِيَّاتِهِمْ وَ عَزَآئِمِهِمْ وَ خَوَاطِرِهِمْ وَ ذٰلِكَ عِنْدَهٗ جَلِىٌّ لَا خِفَاءَ بِهٖ.

तर्जमा :– "हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की हयाते तय्यिबा और वफ़ाते मुबारका में इस बात में कुछ फ़र्क़ नहीं कि वह अपनी उम्मत को देख रहे हैं और उनकी हालतों, उनकी नियतों उनके इरादों, उनके दिलों के ख़्यालों को पहचानते हैं और यह सब हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम पर ऐसा रौशन है जिस में असलन (बिल्कुल) पोशीदगी नहीं"।

इमाम मुहक़्क़िक़ इब्ने हुमाम के शागिर्द इमाम रहमतुल्लाह 'मुनसक मुतवस्सित' और अ़ली क़ारी मक्की उसकी शरह 'मसलक मुतक़स्सित' में फ़रमाते हैं :

وَ اِنَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَالِمٌ بِحُضُوْرِكَ وَقِيَامِكَ وَ سَلَامِكَ اَىْ بَلْ بِجَمِيْعِ اَفْعَالِكَ وَ اَحْوَالِكَ وَ ارْتِحَالِكَ وَ مَقَامِكَ.

तर्जमा :– "बेशक रसूलुल्लाो सल्ललाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम तेरी हाज़िरी और तेरे खड़े होने और तेरे सलाम बल्कि तेरे तमाम अफ़आ़ल व अहवाल व कूच करने व मक़ाम से आगाह हैं।"

(14) अब अगर जमाअ़त क़ाइम हो शरीक हो जाओ कि इसमें तहिय्यतुल मस्जिद भी अदा हो जायेगी वरना अगर ग़लबए शौक़ मोहलत दे और वक़्ते कराहत न हो तो दो रकअ़त तहिय्यतुल मस्जिद और हाज़िरीए दरबारे अक़दस के शुक्राने में सिर्फ़ सूरए काफ़िरून व सूरए इख़्लास से बहुत हल्की मगर सुन्नत की रिआ़यत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के नमाज़ पढ़ने की जगह पढ़ों जहाँ अब मस्जिदे करीम के दरमियान में मेहराब बनी है और वहाँ न मिले तो जहाँ तक हो सके उसके नज़दीक अदा करो फिर सज्दए शुक्र में गिरो और दुआ करो कि इलाही अपने हबीब सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम का अदब और उनका और अपना क़बूल नसीब कर। आमीन!

(15)अब इन्तिहाई अदब में डूबे हुए गर्दन झुकाये,आँखें नीची किये, लरज़ते, काँपते गुनाहों की नदामत(शर्मिन्दगी) से पसीना–पसीना होते हुज़ूर पूरनूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के अ़फ़्व व करम की उम्मीद रखते, हुज़ूर की पाएंती शरीफ़ यानी पूरब की तरफ़ से मुवाजहए आ़लिया में हाज़िर हो कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मज़ारे अक़दस में क़िब्ला की तरफ़ चेहरए अनवर किये हुए जलवा फ़रमा हैं,उस सम्त से हाज़िर होगे तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की निगाहे बेकस पनाह तुम्हारी तरफ़ होगी और यह बात तुम्हारे लिए दोनों जहाँ में काफ़ी है, वलहम्दुलिल्लाह।

(16)अब कमाले अदब व हैबत व ख़ौफ़ व उम्मीद के साथ क़िन्दीले अक़दस के नीचे उस चाँदी की

कील के सामने जो हुजरए मुतहहरह की दक्खिनी दीवार में चेहरए अनवर के मुकाबिल (सामने)लगी है कम से कम चार हाथ के फासिले से किब्ला को पीठ और मज़ारे अनवर को मुँह करके नमाज़ की तरह हाथ बाँधे खड़े हो लुबाब व शरहे लुबाब व इख़्तियार शरह मुख़्तार व फ़तावा आलमगीरी वग़ैरा मोअ्तबर किताबों में इस अदब के बारे में साफ़–साफ़ लिखा है कि।

يَقِفُ كَمَا يَقِفُ فِي الصَّلٰوةِ

तर्जमा :– " हुज़ूर के सामने ऐसा खड़ा हो जैसा नमाज़ में खड़ा होता है" यह इबारत आलमगीरी व इख़्तियार की है और लुबाब में फरमाया

وَاضِعًا يَمِيْنَهٗ عَلٰى شِمَالِهٖ

तर्जमा :– " दस्तबस्ता दहना हाथ बायें पर रख कर खड़ा हो"।

(17)ख़बरदार! जाली शरीफ़ को बोसा देने या हाथ लगाने से बचो कि अदब के ख़िलाफ़ है बल्कि चार हाथ फासिले से ज़्यादा करीब न जाओ। यह उनकी रहमत क्या कम है कि तुम को अपने हुज़ूर बुलाया अपने मुवाजहए अकदस यानी मज़ार शरीफ़ के बिल्कुल सामने जगह बख़्शी। उनकी रहमत और निगाहे करीम अगर्चे हर जगह तुम्हारी तरफ़ थी अब ख़ुसूसियत और इस दर्जा कुर्ब (नज़दीकी) के साथ है? वलिल्लाहिल हम्द!

(18) अल्हम्दुलिल्लाह! अब दिल की तरह तुम्हारा मुँह भी उस पाक जाली की तरफ़ हो गया जो अल्लाह तआला के महबूबे अज़ीमुश्शान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आरामगाह है, निहायत अदब व वकार के साथ, ग़मगीन व दर्द भरी हुई आवाज़ व निहायत शर्मिन्दा दिल और फटे हुए जिगर के साथ दरमियानी आवाज़ से, न इतनी बलन्द व सख़्त हो क्यूँकि उनके हुज़ूर आवाज़ बलन्द करने से अमल अकारत (बर्बाद) हो जाते हैं, न बिल्कुल नर्म व पस्त (हल्की)कि सुन्नत के ख़िलाफ़ है, अगर्चे वह तुम्हारे दिलों के ख़तरों तक से आगाह हैं जैसा कि अभी तसरीहाते अइम्मा से गुज़रा मजरा व तस्लीम बजा लाओ यानी अदब के साथ दुरूद व सलाम अर्ज़ करो और यह भी अर्ज करो

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللّٰهِ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاشَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَ عَلٰى اٰلِكَ وَ اَصْحَابِكَ وَ اُمَّتِكَ اَجْمَعِيْنَ.

तर्जमा :– "ऐ नबी! आप पर सलाम और अल्लाह की रहमत और बरकतें। ऐ अल्लाह के रसूल! आप पर सलाम। ऐ अल्लाह की तमाम मख़्लूक से बेहतर आप पर सलाम। ऐ गुनहगारों की शफ़ाअत करने वाले! आप पर सलाम। आप पर और आपकी आल व असहाब पर और आपकी तमाम उम्मत पर सलाम।"

(19) जहाँ तक मुमकिन हो, और ज़बान यारी दे यानी मदद करे और मलाल व कस्ल (सुस्ती) न हो दुरूद व सलाम खूब पढ़ो। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अपने और अपने माँ, बाप, पीर, उस्ताद, औलाद व अज़ीज़ों, दोस्तों और सब मुसलमानों के लिए शफ़ाअत माँगो और बार–बार अर्ज़ करो :–

اَسْئَلُكَ الشَّفَاعَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ.

तर्जमा :– "या रसूलल्लाह! मैं हुज़ूर से शफ़ाअत माँगता हूँ।" (20) फिर अगर किसी ने सलाम अर्ज़ करने की वसीयत की तो बजा लाओ यानी उसकी तरफ़ से सलाम अर्ज़ करने कि शरअन इसका

हुक्म है और यह फ़कीर ज़लील उन मुसलमानों को जो इस रिसाला को देखें वसीयत करता है कि जब उन्हें हाज़िरीए बारगाहे अक्दस नसीब हो तो फ़कीर की ज़िन्दगी में या बाद में कम से कम तीन बार मुवाजहए अक्दस में ज़रूर यह अलफ़ाज़ अर्ज़ करके इस नालाइक नंगे ख़लाइक पर एहसान फ़रमायें अल्लाह तआला उन को दोनों जहान में जज़ाए ख़ैर बख़्शे, आमीन।

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ .وَ عَلٰی اٰلِکَ وَ ذَوِیْکَ فِیْ کُلِّ اٰنٍ وَّلَحْظَۃٍ عَدَدَ کُلِّ ذَرَّۃٍ ذَرَّۃٍ اَلْفَ مَرَّۃٍ مِنْ عُبَیْدِکَ اَمْجَدْ عَلِیْ یَسْئَلُکَ الشَّفَاعَۃَ فَاشْفَعْ لَہٗ وَ لِلْمُسْلِمِیْنَ.

तर्जमा :– "या रसूलल्लाह! हुज़ूर और हुज़ूर की आल और इलाका वालों पर हर आन लहज़ा में हर–हर ज़र्रा की गिनती पर दस–दस लाख दुरूद से शफ़ाअत माँगता है हुज़ूर उसकी और तमाम मुसलमानों की शफ़ाअत फ़रमायें"।

(21)फिर अपने दाहिने हाथ यानी पूरब की तरफ़ हाथ भर हट कर हज़रते सिद्दीक़े अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु के चेहरए नूरानी के सामने खड़े हो कर अर्ज़ करो:

اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا خَلِیْفَۃَ رَسُوْلِ اللّٰہِ اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَزِیْرَ رَسُوْلِ اللّٰہِ
اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰہِ فِی الْغَارِ وَ رَحْمَۃُ اللّٰہِ وَ بَرَکَاتُہٗ.

तर्जमा :– "ऐ ख़लीफ़ए रसूलुल्लाह आप पर सलाम ,ऐ रसूलुल्लाह के वज़ीर आप पर सलाम ऐ ग़ार में रसूलुल्लाह के रफ़ीक़ आप पर सलाम और अल्लाह की रहमत और बरकतें"।

(22) फिर उतना ही और हट कर हज़रते फ़ारूक़े आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु के रूबरू(सामने) खड़े होकर अर्ज़ करो :

اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ یَآاَمِیْرَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مُتَمِّمَ الْاَرْبَعِیْنَ
اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا عِزَّ الْاِسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِیْنَ وَ رَحْمَۃُ اللّٰہِ وَ بَرَکَاتُہٗ.

तर्जमा :– " ऐ अमीरूल मोमिनीन आप पर सलाम ऐ चालीस का अदद पूरा करने वाले आप पर सलाम ऐ इस्लाम व मुस्लिमीन की इज़्ज़त आप पर सलाम और अल्लाह की रहमत और बरकतें"।

(23)फिर बालिश्त भर पच्छिम की तरफ़ पलटो और सिद्दीक़ व फ़ारूक़ रदियल्लाहु तआला अन्हुमा के दरमियान खड़े होकर अर्ज़ करो

اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمَا یَا خَلِیْفَتَیْ رَسُوْلِ اللّٰہِ ط اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمَا یَا وَزِیْرَیْ رَسُوْلِ اللّٰہِ ط اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمَا یَا ضَجِیْعَیْ رَسُوْلِ اللّٰہِ وَ رَحْمَۃُ اللّٰہِ وَ بَرَکَاتُہٗ ط اَسْئَلُکُمَا الشَّفَاعَۃَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ عَلَیْکُمَا وَ بَارَکَ وَ سَلَّمَ.

तर्जमा :– " ऐ रसूलुल्लाह के पहलू में आराम करने वाले आप दोनों पर सलाम और अल्लाह की रहमत और बरकतें,आप दोनों हज़रात से सवाल करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुज़ूर हमारी सिफ़ारिश कीजिये, अल्लाह तआला उन पर और आप दोनों पर दुरूद व बरकत व सलाम नाज़िल फ़रमाये।

(24)यह सब हाज़रियाँ दुआएं कबूल होने की जगह हैं, दुआ में कोशिश करो। दुआए जामे करो और दूरूद पर कनाअत बेहतर है और चाहो तो यह दुआ पढ़ो :

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُشْهِدُكَ وَ اُشْهِدُ رَسُوْلَكَ وَ اَبَابَكْرٍ وَّ عُمَرَ وَ اُشْهِدُ الْمَلٰٓئِكَةَ النَّازِلِیْنَ عَلٰی هٰذِهِ الرَّوْضَةِ الْكَرِیْمَةِ الْعَاكِفِیْنَ عَلَیْهَا اَنِّیْ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِیْكَ لَكَ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَ رَسُوْلُكَ ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ مُقِرٌّ بِجِنَایَتِیْ وَ مَعْصِیَتِیْ فَاغْفِرْلِیْ وَ امْنُنْ عَلَیَّ بِالَّذِیْ مَنَنْتَ عَلٰٓی اَوْلِیَآئِكَ فَاِنَّكَ الْمَنَّانُ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ ۔
رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ۔

तर्जमा :– " ऐ अल्लाह मैं तुझको और तेरे रसूल और अबूबक्र व उ़मर को और तेरे फ़रिश्तों को जो इस रोज़े पर नाज़िल व मोतकिफ़ हैं उन सब को गवाह करता हूँ कि मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं तू तन्हा है तेरा कोई शरीक नहीं और मुह़म्मद सल्ल्ललाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम तेरे बन्दे और रसूल हैं। ऐ अल्लाह मैं अपने गुनाह व मासियत का इक़रार करता हूँ तू मेरी मग़फ़िरत फ़रमा और मुझ पर वह एहसान फ़रमा जो तूने अपने औलिया पर किया बेशक तू एहसान करने वाला बख़्शने वाला मेहरबान है। ऐ रब हमारे हमको दुनिया में भलाई अ़ता फ़रमा और आख़िरत में भलाई अ़ता फ़रमा और हमको तू जहन्नम से बचा"।

(25)फिर मिम्बरे अत़हर के क़रीब दुआ़ माँगो। (26) फिर जन्नत की क्यारी में (यानी जो जगह मिम्बर व हुज़रए मुनव्वरा के दरमियान है उसे ह़दीस में जन्नत की क्यारी फ़रमाया)आकर मकरूह वक़्त न हो तो दो रकअ़त नफ़्ल पढ़ कर दुआ़ करो। (27)यूँही मस्जिद शरीफ़ के हर सुतून के पास नमाज़ पढ़ो दुआ़ माँगो कि मह़ल्ले बरकात (बरकतें नाज़िल होने की जगह)हैं ख़ुसूसन बाज़ सुतूनों में ख़ास ख़ुसूसियतें हैं।

(28)जब तक मदीना त़य्यिबा की ह़ाज़िरी नसीब हो एक साँस बेकार न जाने दो ज़रूरियात के सिवा अकसर वक़्त मस्जिद शरीफ़ में बा–त़हारत और बा–वुज़ू ह़ाज़िर रहो नमाज़ व तिलावत व दुरूद में वक़्त गुज़ारो दुनिया की बात किसी मस्जिद में न चाहिए न कि यहाँ।

हमेशा हर मस्जिद में जाते वक़्त एअ़्तिकाफ़ की नीयत कर लो (एअ़्तिकाफ़ के मअ़ना हैं मस्जिद में बिलक़स्द नीयत करके ठहरना इसलिए कि ज़िक्रे इलाही करूँगा) यहाँ तुम्हारी याददिहानी ही को दरवाज़े से बढ़ते ही यह लिखा हुआ मिलेगा।

نَوَیْتُ سُنَّةَ الْاِعْتِكَافِ ۔

तर्जमा :– " नियत की मैंने सुन्नते एअ़्तिकाफ़ की।"

(30)मदीना त़य्यिबा में रोज़ा नसीब हो ख़ुसूसन गर्मी में तो क्या कहना कि इस पर वादए शफ़ाअ़त है। (31) यहाँ हर नेकी एक की पचास ह़ज़ार लिखी जाती है लिहाज़ा इबादत में ज़्यादा कोशिश करो। खाने–पीने की कमी ज़रूर करो और जहाँ तक हो सके स़दक़ा करो ख़ुसूसन यहाँ मदीना त़य्यिबा वालों के ज़रूरत मन्दों पर और उ़लमा पर ख़ुसूसन इस ज़माने में कि अक्सर ज़रूरतमन्द हैं। (32)क़ुर्आन मजीद का कम से कम एक ख़त्म यहाँ और ह़तीमे कअ़्बए मुअ़ज़्ज़मा में कर लो। (33) रौज़ए अनवर पर नज़र (देखना)भी इबादत है जैसे कअ़्बए मुअ़ज़्ज़मा या क़ुर्आन मजीद का देखना तो अदब के साथ उसकी कसरत करो और दुरूद व सलाम अ़र्ज़ करो। (34) पंजगाना या कम से कम सुबह व शाम मुवाजहा शरीफ़ में सलाम अ़र्ज़ करने के लिए ह़ाज़िर हो।(35) शहर में या शहर से बाहर जहाँ कहीं गुम्बदे मुबारक पर नज़र पड़े फ़ौरन दस्तबस्ता उधर मुँह करके स़लात व

सलाम अ़र्ज़ करो बे इसके हरगिज़ न गुज़रो कि अदब के ख़िलाफ़ है। (36)तर्के जमाअ़त बिला उ़ज़्र हर जगह गुनाह है और कई बार हो तो सख़्त हराम व गुनाहे कबीरा और यहाँ तो गुनाह के अलावा कैसी सख़्त महरूमी है मैं इससे अल्लाह तआ़ला की पनाह माँगता हूँ। सहीह हदीस में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम, फ़रमाते हैं जिसे मेरी मस्जिद में चालीस नमाज़ें फ़ौत न हों उसके लिए दोज़ख़ व निफ़ाक़ से आज़ादियाँ लिखी जायें।

(37) जहाँ तक हो सके कोशिश करो कि मस्जिदे अव्वल यानी हुज़ूर अक़्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के ज़मानए मुबारका में जितनी थी उस में नमाज़ पढ़ो और उसकी मिक़्दार सौ हाथ लम्बाई, और सौ हाथ चौड़ाई अगर्चे बाद में जो कुछ इज़ाफ़ा हुआ है उस में नमाज़ पढ़ना भी मस्जिदे नबवी ही में पढ़ना है।

(38)क़ब्रे करीम को हरगिज़ पीठ न करो और जहाँ तक हो सके नमाज़ में भी ऐसी जगह न खड़े हो कि पीठ करनी पड़े।

(39)रौज़ए अनवर का न तवाफ़ करो न सज्दा न इतना झुकना कि रुकू के बराबर हो,रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ताज़ीम उनकी इताअ़त में है।

अहले बक़ी की ज़्यारत

(40) जन्नतुल बक़ी की ज़्यारत सुन्नत है रौज़ए अक़्दस की ज़्यारत करके वहाँ जाये ख़ुसूसन जुमा के दिन। इस क़ब्रिस्तान में दस हज़ार सहाबा किराम रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम मदफ़ून हैं और ताबेईन व तबअ़ ताबेईन व औलिया व उ़लमा व सुलहा वग़ैरहुम बेशुमार हैं। यहाँ जब हाज़िर हो पहले तमाम मदफ़ूनीन मुस्लिमीन की ज़्यारत का क़स्द करे और यह पढ़े :

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَّ اِنَّا اِنْشَآءَ اللّٰهُ تَعَالٰى
بِكُمْ لَاحِقُوْنَ . اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَهْلِ الْبَقِيْعِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَ لَهُمْ.

तर्जमा :– "तुम पर सलाम ऐ क़ौमे मोमिनीन के घर वालो तुम हमारे पेशवा हो और हम इन्शा अल्लाह तुम से मिलने वाले हैं, ऐ अल्लाह बक़ी वालों की मग़फ़िरत फ़रमा ऐ अल्लाह हम को और उन्हें बख़्श दे"।

और अगर कुछ और पढ़ना चाहे तो यह पढ़े :–

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِوَالِدِيْنَا وَ لِاُسْتَاذِيْنَا وَ لِاِخْوَانِنَا وَ لِاَخْوَاتِنَا وَ لِاَوْلَادِنَا وَلِاَحْفَادِنَا وَلِاَصْحَابِنَا وَلِاَحْبَابِنَاوَلِمَنْ لَّهٗ
حَقٌّ عَلَيْنَا وَ لِمَنْ اَوْصَانَا وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ.

तर्जमा :– ऐ अल्लाह हम को और हमारे वालिदैन को और उस्तादों और भाईयों और बहनों और हमारी औलाद और पोतों और साथियों और दोस्तों को और उसको जिसका हम पर हक़ है और जिसने हमें वसीयत की और तमाम मोमिनीन व मोमिनात व मुस्लिमीन व मुस्लिमात को बख़्श दे।

और दुरूद शरीफ़ व सूरए फ़ातिहा व आयतलकुर्सी व सूरए इख़्लास वग़ैरा जो कुछ हो सके पढ़ कर सवाब उसका नज़्र करे उसके बाद बक़ी शरीफ़ में जो मज़ारात मारूफ़ व मशहूर हैं उनकी ज़्यारत करे तमाम अहले बक़ी में अफ़ज़ल अमीरुलमोमिनीन सय्यिदेना उ़स्मान ग़नी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु हैं उनके मज़ार पर हाज़िर हो कर सलाम करे :

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاثَالِثَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْهِجْرَتَيْنِ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُجَهِّزَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ بِالنَّقْدِ وَالْعَيْنِ جَزَاكَ اللّٰهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَ عَنْ سَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَ

رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْكَ وَ عَنِ الصَّحَابَةِ اَجْمَعِيْنَ.

तर्जमा :– " ऐ अमीरुलमोमिनीन! आप पर सलाम और ऐ खुलफ़ाए राशिदीन में तीसरे ख़लीफ़ा आप पर सलाम ऐ दो हिजरत करने वाले आप पर सलाम ऐ ग़ज़वए तबूक की नक़द व जिन्स से तैयारी करने वाले आप पर सलाम अल्लाह आप को अपने रसूल और तमाम मुसलमानों की तरफ़ से बदला दे आप से और तमाम सहाबा से अल्लाह राज़ी हो"।

कुब्बए हज़रते सय्यिदेना इब्राहीम इब्ने सरदारे दो आलम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और इसी कुब्बा शरीफ़ा में इन हज़राते किराम के भी मज़ाराते तय्यिबा हैं : हज़रते रुक़य्या (हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की साहबज़ादी)हज़रते उस्मान इब्ने मतऊन(यह हुज़ूर अक्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई हैं)अब्दुर्रहमान इब्ने औफ़ व सअ्द इब्ने अबी वक़्क़ास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा(ये दोनों हज़रात अशरए मुबश्शरह से हैं)अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु (निहायत जलीलुलक़द्र सहाबी खुलफ़ाए अरबअ् के बाद सब से अफ़क़ह यानी सब से ज़्यादा इल्म वाले, ख़्नीस इब्ने हुज़ाफ़ा सहमी व असद इब्ने ज़ुरारह रदियल्लाहु तआला 'अन्हुम अजमईन इन हज़रात की ख़िदमत में सलाम अर्ज़ करे। कुब्बए हज़रते सय्यिदिना अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु इसी कुब्बा में हज़रते सय्यिदिना इमाम हसन मुजतबा व सरे मुबारक सय्यिदिना इमाम हुसैन व इमाम ज़ैनुलआबेदीन व इमाम मुहम्मद बाक़िर व इमाम जाफ़र सादिक़ रदियल्लाहु तआला अन्हुम के मज़ाराते तय्यिबात हैं उन पर सलाम अर्ज़ करे। कुब्बए अज़वाजे मुतहहरात हज़रते उम्मुलमोमिनीन ख़दीजतुलकुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा का मज़ारे पाक मक्कए मुअज़्ज़मा में है और हज़रते मैमूना रदियल्लाहु तआला अन्हा का सरिफ़ में है बक़िया तमाम अज़वाजे मुकर्रमात इसी कुब्बा में हैं। कुब्बए हज़रते अक़ील इब्ने अबी तालिब इसमें सुफ़यान इब्ने हारिस इब्ने अब्दुलमुत्तलिब व अब्दुल्लाह इब्ने जाफ़र तय्यार भी हैं और इसके क़रीब एक कुब्बा है जिस में हुज़ूर अक़दस सल्ललाहु तआला अलैहि वसल्लम की तीन औलादें हैं। कुब्बए सफ़िया रदियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फूफी कुब्बए इमाम मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु। कुब्बए नाफ़ेअ् मौला इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा इन हज़रात की ज़्यारत से फ़ारिग़ होकर मालिक इब्ने सिनान व अबूसईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हुमा व इस्माईल इब्ने जाफ़र सादिक़ व मुहम्मंद इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने हसन इब्ने अली रदियल्लाहु आला अन्हुम व सय्यिदुश्शुहदा अमीर हमज़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु की ज़्यारत से मुशर्रफ़ हो। बक़ी की ज़्यारत किस से शुरूअ् हो इसमें इख़्तिलाफ़ है बाज़ उलमा फ़रमाते हैं कि अमीरुलमोमिनीन उस्मान ग़नी रदियल्लाहु तआला अन्हु से इब्तिदा करे कि यह सब में अफ़ज़ल हैं और बाज़ उलमा फ़रमाते हैं हज़रते इब्राहीम इब्ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से शुरूअ् करे और बाज़ फ़रमाते हैं कि कुब्बाए सय्यिदिना अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु से इब्तिदा हो और कुब्बए सफ़िया पर ख़त्म करे कि सब से पहले हज़रते अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु का कुब्बा शरीफ़ मिलता है तो बग़ैर सलाम अर्ज़ किये वहाँ से आगे न बढ़े और यही आसान भी है।

कुबा शरीफ़ की ज़्यारत

(41)कुबा शरीफ़ की ज़्यारत करे और मस्जिदे कुबा शरीफ़ में दो रकअ़त नमाज़ पढ़े। तिर्मिज़ी में मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया मस्जिदे कुबा में नमाज़ उमरा की तरह है और अहादीसे सहीहा से साबित कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम हर हफ़्ते को कुबा तशरीफ़ ले जाते कभी सवार कभी पैदल इस मकाम की बुज़ुर्गी में और अहादीस हैं।

उहुद व शुहदाए उहुद की ज़्यारत

(42) शुहदाए उहुद शरीफ़ की ज़्यारत करे हदीस में है कि हुज़ूर अक़दस सल्ललाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम हर साल के शुरूअ़ में शुहदाए उहुद की क़ब्रों पर आते और यह फ़रमाते :–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

और उहुद पहाड़ की भी ज़्यारत करे कि सहीह हदीस में फ़रमाया कोहे उहुद हमें महबूब रखता है और हम उसे महबूब रखते हैं और एक रिवायत में है कि जब तुम उहुद पहाड़ पर जाओ तो उसके दरख़्त से कुछ खाओ अगर्चे बबूल हो। बेहतर यह है कि पंजशम्बा(जुमेरात)के दिन सुबह के वक़्त जाये और सब से पहले हज़रते सय्यिदुश्शुहदा हमज़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के मज़ार पर हाज़िर होकर सलाम अ़र्ज़ करे और अ़ब्दुल्लाह इब्ने जहश व मुसअ़ब इब्ने उमैर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा पर सलाम अ़र्ज़ करे कि एक रिवायत में है यह दोनों हज़रात यहीं मदफून हैं सय्यिदुश्शुहदा की पाएंती जानिब और सहने मस्जिद में जो क़ब्र है ये दोनों शुहदाए उहुद में नहीं हैं।

(43) मदीना तय्यिबा के वह कुँए जो हुज़ूर की तरफ़ मन्सूब हैं यानी किसी से वुज़ू फ़रमाया और किसी का पानी और किसी में लुआ़बे दहन डाला अगर कोई जानने बताने वाला मिले तो उनकी भी ज़्यारत करे और उन से वुज़ू करे और पानी पिये।

(44) अगर चाहो तो मस्जिदे नबवी शरीफ़ में हाज़िर रहो सय्यिदी इब्ने अबी जमरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु जब हाज़िरे हुज़ूर हुए आठों पहर बराबर हुज़ूरी में खड़े रहते एक दिन बक़ी वग़ैरा की ज़्यारत का ख़्याल आया फिर फ़रमाया यह है अल्लाह का दरवाज़ा भीक माँगने वालो के लिए खुला हुआ इसे छोड़ कर कहाँ जाऊँ।

सर ईं जा सज्दा ईं जा बन्दगी ईं जा क़रार ईं जा

तर्जमा :– " सर इस जगह है सज्दा इस जगह है बन्दगी इस जगह है और सुकून इस जगह है"।

(45)रुख़सत के वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के रौज़ए अक़दस के सामने हाज़िर हो और तमाम आदाब जो कअ़बए मुअ़ज़्ज़मा से रुख़सत में गुज़रे ख़्याल रखो और सच्चे दिल से दुआ़ करो कि इलाही ईमान व सुन्नत पर मदीना तय्यिबा में मरना और बक़ी पाक में दफ़न होना नसीब कर आमीन!

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ ابْنِهٖ وَ حِزْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ اٰمِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

وَمَآ اَرۡسَلۡنٰكَ اِلَّا رَحۡمَةً لِّلۡعٰلَمِيۡنَ

(اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا)

किताब को पढ़ने से पहले
इस किताब को स्कैन करने वाले
और इस काम मे हिस्सा लेने वालो के हक़ में

दुआ फरमाएं

अल्लाह अज़्ज़वजल हमारे तमाम
सगीरा व क़बीरा गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाये
और ईमान पर इस्तेक़ामत अता फ़रमाये!

आमीन

बहारे शरीअ़त

सातवाँ हिस़्सा

मुस़न्निफ़
सदरूश्शरीआ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा
मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर
क़ादरी दारूल इशाअ़त
मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली–53
Mob:–9312106346

नाम किताब	बहारे शरीअत (सातवाँ हिस्सा)
मुसन्निफ़	सदरुश्शरीअ मौलाना अमजद अली आज़मी रज़वी अलैहिर्रहमह
हिन्दी तर्जमा	**मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी**
कम्प्यूटर कम्पोज़िंग	मौलाना मुहम्मद शफ़ीकुल हक़ रज़वी
क़ीमत जिल्द अव्वल	500/
ता़दाद	1000
इशाअ़त	2010 ई.

मिलने के पते :

1. मकतबा नईमिया ,मटिया महल, दिल्ली।
2. फ़ारुक़िया बुक डिपो ,मटिया महल ,दिल्ली।
3. नाज़ बुक डिपो ,मोहम्मद अ़ली रोड़ मुम्बई
4. अलकुरआन कम्पनी ,कमानी गेट,अजमेर।
5. चिश्तिया बुक डिपो दरगाह शरीफ़ अजमेर।
6. क़ादरी दारुल इशाअ़त, 523 मटिया म़हल जामा मस्जिद दिल्ली। 9312106346
7. मकतबा रह़मानिया रज़विया दरगाह आ़ला ह़ज़रत बरेली शरीफ़

फ़ेहरिस्त

निकाह का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है :–

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً

"निकाह करो जो तुम्हें खुश आयें औरतों से दो दो और तीन–तीन और चार–चार और अगर यह ख़ौफ़ हो कि इन्साफ़ न कर सकोगे तो एक से" और फ़रमाता है :–

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَ الصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَائِكُمْ ؕ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ

"अपने यहाँ की बे शौहर वाली औरतों का निकाह करो और अपने नेक गुलामों और बाँधियों का अगर वह मोहताज हों तो अल्लाह अपने फ़ज़्ल के सबब उन्हें ग़नी कर देगा और अल्लाह वुसअ़त वाला इल्म वाला है और चाहिए कि पारसाई करें वह कि निकाह का मक़दूर (ताक़त)नहीं रखते यहाँ तक कि अल्लाह अपने फ़ज़्ल से उन्हें मक़दूर वाला कर दे।"

हदीस न.1 :– बुख़ारी व मुस्लिम व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसाई अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊ़द रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐ जवानो तुम में जो कोई निकाह की इस्तिताअ़त रखता है वह निकाह करे कि यह अजनबी औ़रत की तरफ़ नज़र करने से निगाह को रोकने वाला है और शर्मगाह की हिफ़ाज़त करने वाला है और जिस में निकाह की इस्तिताअ़त नहीं वह रोज़ा रखे कि रोज़ा क़ातेअ़् शहवत है।

हदीस न.2 :– इब्ने माजा अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो ख़ुदा से पाक व साफ़ हो कर मिलना चाहे वह आज़ाद औ़रतों से निकाह करे।

हदीस न.3 :– बैहक़ी अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो मेरे तरीक़ा को महबूब रखे वह मेरी सुन्नत पर चले और मेरी सुन्नत से निकाह है।

हदीस न.4 :– मुस्लिम व नसाई अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया दुनिया मताअ़् है और दुनिया की बेहतर मताअ़्(माल व दौलत) नेक औ़रत है।

हदीस न.5 :– इब्ने माजा में अबू उमामा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते थे तक़्वे के बाद मोमिन के लिए नेक बीवी से बेहतर कोई चीज़ नहीं अगर उसे हुक्म करता है तो वह इताअ़त करती है और उसे देखे तो ख़ुश कर दे और उस पर क़सम खा बैठे तो क़सम सच्ची कर दे और कहीं को चला जाये तो अपने नफ़्स और शौहर के माल में भलाई करे (ख़ियानत व ज़ाए न करे)

हदीस न.6 :– तबरानी कबीर व औसत में इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसे चार चीज़े मिलीं उसे दुनिया व आख़िरत की भलाई मिली 1. दिल शुक्र गुज़ार 2. ज़बान यादे ख़ुदा करने वाली और 3. बदन बला

पर साबिर और 4. ऐसी बीवी कि अपने नफ़्स और माले शौहर में गुनाह की जोयाँ न हो।

हदीस न.7 :– इमाम अहमद व बज़्ज़ार व हाकिम सअ्द इब्ने अबी वक़्क़ास रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तीन चीज़ें आदमी की नेकबख़्ती से हैं और तीन चीज़ें बद बख़्ती से नेकबख़्ती की चीजों में नेक औरत और अच्छा मकान(यानी लम्बा चौड़ा या उस के पड़ोसी अच्छे हों)और अच्छी सवारी और बदबख़्ती की चीज़ें बद औरत, बुरा मकान, बुरी सवारी।

हदीस न.8 :– तबरानी व हाकिम अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुजूर ने फ़रमाया जिसे अल्लाह ने नेक बीवी नसीब की उस के निस्फ़ दीन पर इआनत(मदद)फ़रमाई तो निस्फ़ बाक़ी में अल्लाह से डरे।(तक़्वा व परहेज़गारी करे)

हदीस न.9 :– बुख़ारी व मुस्लिम व अबू दाऊद व नसाई व इब्ने माजा अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया औरत से निकाह चार बातों की वजह से किया जाता है (निकाह में उनका लिहाज़ होता है) 1.माल व 2.हसब 3.व जमाल व 4.दीन और तू दीन वाली को तरजीह दे

हदीस न.10 :– तिर्मिज़ी व इब्ने माजा हब्बान व हाकिम अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया तीन शख़्सों की अल्लाह तआला मदद फ़रमायेगा 1. अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला और 2. मकातिब के अदा करने का इरादा रखता है और 3. पारसाई के इरादे से निकाह करने वाला।

हदीस न.11 :– अबू दाऊद व निसाई व हाकिम मअ्कुल इब्ने यसार रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हो कर अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैंने इज़्ज़त व मनसब व माल वाली एक औरत पाई मगर उस के बच्चा नहीं होता क्या मैं उस से निकाह कर लूँ हुजूर ने मनअ् फ़रमाया फिर दो बारा हाज़िर हो कर अर्ज़ की हुजूर ने मनअ् फ़रमाया तीसरी मरतबा हाज़िर हो कर फिर अर्ज़ की इरशाद फ़रमाया ऐसी औरत से निकाह करो जो महब्बत करने वाली बच्चा जन्ने वाली हो कि मैं तुम्हारे साथ और उम्मतों पर कसरत ज़ाहिर करने वाला हूँ

हदीस न.12 :– इब्ने अबी हातिम अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी उन्होंने फ़रमाया कि अल्लाह ने जो तुम्हें निकाह का हुक्म फ़रमाया तुम उस की इताअत करो। उस ने जो ग़नी करने का वअ्दा किया है पूरा फ़रमायेगा अल्लाह तआला ने फ़रमाया अगर वह फ़क़ीर होंगे तो अल्लाह उन्हें अपने फ़ज़्ल से ग़नी कर देगा।

हदीस न.13 :– अबू यअ्ला जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं जब तुम में कोई निकाह करता है तो शैतान कहता है हाए! अफसोस इब्ने आदम ने मुझ से अपना दो तिहाई दीन बचा लिया।

हदीस न.14 :– एक रिवायत में है कि फरमाते हैं जो इतना माल रखता है कि निकाह कर ले फिर निकाह न करे वह हम में से नहीं

मसाइले फ़िक़्हिय्या

निकाह उस अ़क़्द को कहते हैं जो इस लिए मुक़र्रर किया गया कि मर्द को औ़रत से जिमाअ़ वग़ैरा हलाल हो जाये।

मसअ्ला :– ख़ुन्सा मुश्क्लि यानी जिस में मर्द व औ़रत दोनों की अ़लामतें पाई जायें और यह साबित न हो कि मर्द है या औ़रत उस से न मर्द का निकाह हो सकता है न औ़रत का अगर किया गया तो बातिल है हाँ बादे निकाह अगर उस का औ़रत होना मुतअ़य्यन हो जाये और निकाह मर्द से हुआ है तो सहीह है यूँ ही अगर औ़रत से हुआ और उस का मर्द होना क़रार पागया ख़ुन्सा मुश्किल का निकाह ख़ुन्सा मुश्किल से भी नहीं हो सकता मगर उसी सूरत में कि एक का मर्द होना दूसरे का औ़रत होना मुतहक़्क़ हो जाये (रदुल मुहतार)

मसअ्ला :– मर्द का परी से या औ़रत का जिन से निकाह नहीं हो सकता (दुर्रे मुख़्तार जिल्द 2 सफ़ा 281)

मसअ्ला :– यह जो अ़वाम में मशहूर है कि बन मानुस आदमी की शक्ल का एक जानवर होता है अगर वाक़ेई है तो उस से भी निकाह नहीं हो सकता कि वह इन्सान नहीं जैसे पानी का इन्सान कि देखने से बिल्कुल इन्सान मालूम होता है और हक़ीक़तन वह इन्सान नहीं।

मसअ्ला :– एअ़्तिदाल की हालत में यानी न शहवत का बहुत ज़ियादा ग़लबा हो न इन्नीन (नामर्द)हो और महर व नफ़्क़ा पर क़ुदरत भी हो तो निकाह सुन्नतें मुअक्कदा है कि निकाह न करने पर अड़ा रहना गुनाह है और अगर हराम से बचा या इत्तिबाअ़े सुन्नत व तअ़्मीले हुक्म या औलाद हासिल होना मक़सूद है तो सवाब भी पायेगा और अगर महज़ लज़्ज़त या क़ज़ाए शहवत मन्ज़ूर हो तो सवाब नहीं। (दुर्रे मुख़्तार रदुल मुहतार)

मसअ्ला :– शहवत का ग़लबा है कि निकाह न करे तो मआ़ज़ल्लाह अन्देशा–ए–ज़िना है और महर व नफ़्क़ा की क़ुदरत रखता हो तो निकाह वाजिब यूँहीं जब कि अजनबी औ़रत की तरफ़ निगाह उठने से रोक नहीं सकता या मआ़ज़ल्लाह हाथ से काम लेना पड़ेगा तो निकाह वाजिब है (दुर्रे मुख़्तार रदुल मुहतार)

मसअ्ला :– या यक़ीन हो कि निकाह न करने में ज़िना वाक़ेअ़ हो जायेगा तो फ़र्ज़ है कि निकाह करे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर यह अन्देशा है कि निकाह करेगा तो नान नफ़्क़ा न देसकेगा या जो ज़रूरी बातें हैं उन को पूरा न कर सकेगा तो मकरूह है और इन बातों का यक़ीन हो तो निकाह करना हराम मगर निकाह बहर हाल होजायेगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– निकाह और उस के हुक़ूक़ अदा करने में और औलाद की तरबियत में मशग़ूल रहना नवाफ़िल में मशग़ूली से बेहतर है (रदुल मुहतार)

मसअ्ला :– निकाह में यह उमूर मुस्तहब हैं 1.अ़लानीया होना 2. निकाह से पहले ख़ुत्बा पढ़ना कोई सा ख़ुतबा हो और बेहतर वह है जो हदीस[1] में वारिद हुआ 3. मस्जिद में होना 4. जुमा के दिन

١ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ط يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ط يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ١٢٥

गवाहाने आदिल के सामने, औरत उम्र हस्ब माल इ़ज़्ज़त में मर्द से कम हो और चाल चलन 7.और अख़लाक़ व तक़वा व जमाल में बेश हो (दुर्रे मुख़्तार)हदीस में है जो किसी औरत से बवजह उस की इ़ज़्ज़त के निकाह़ करे अल्लाह उस की ज़िल्लत में ज़्यादती करेगा और जो किसी औरत से उस के माल के सबब निकाह़ करेगा अल्लाह तआ़ला उसकी मुहताजी ही बढ़ायेगा और जो उस के ह़स्ब के सबब निकाह़ करेगा तो उस के कमीना पन में ज़यादती फ़रमायेगा और जो इस लिए निकाह़ करे कि इधर उधर निगाह न उठे और पाक दामनी ह़ासिल हो या सि़ला रह़म करे तो अल्लाह अ़ज़्ज़ा व जल्ला उस मर्द के लिए उस औ़रत में बरकत देगा और औ़रत के लिए मर्द में

رواہ الطبرانی عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کذا فی الفتح (रद्दुल मुह़तार स 284)

मसअ्ला :– 8.जिस से निकाह़ करना हो उसे किसी मोअ्तबर औरत को भेज कर दिखवा ले और आदत व अत़वार व सलीक़ा वग़ैरा की ख़ूब जाँच कर ले कि आइन्दा ख़राबियाँ न पड़ें 9.कुंवारी औ़रत से और जिस से औलाद ज़्यादा होने की उम्मीद हो निकाह़ करना बेह़तर है सिन रसीदह (उ़म्र दराज़) और बद ख़ुल्क़ और ज़ानिया से निकाह़ न करना बेह़तर (रद्दुल मुह़तार स 284)

मसअ्ला :– 10.औ़रत को चाहिए कि मर्द दीनदार खुश ख़ुल्क़ मालदार सख़ी से निकाह़ करे फ़ासिक़ बदकार से नहीं और 11.यह भी न चाहिए कि कोई अपनी जवान लड़की का बूढ़े से निकाह़ करदे (रद्दुल मुह़तार स 284)

मसअ्ला :– यह मुस्तहब्बाते निकाह़ बयान हुए अगर उस के ख़िलाफ़ निकाह़ होगा जब भी हो जायेगा

मसअ्ला :– ईजाब व क़बूल यानी मसलन एक कहे मैंने अपने को तेरी ज़ौजियत में दिया दूसरा कहे मैंने क़बूल किया यह निकाह़ के रुक्न हैं पहले जो कहे वह ईजाब है और उस के जवाब में दूसरे के अल्फ़ाज़ को क़बूल कहते हैं यह कुछ ज़रूरी नहीं कि औरत की त़रफ़ से ईजाब हो और मर्द की त़रफ़ से क़बूल बल्कि उस का उल्टा भी हो सकता है (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुह़तार स 285)

ईजाब व क़बूल

मसअ्ला :– ईजाब व क़बूल में माज़ी का लफ़्ज़ होना ज़रूरी है मसलन यूँ कहे कि मैं ने अपना या अपनी लड़की या अपनी मुवक्किला का तुझ से निकाह़ किया या उन को तेरे निकाह़ में दिया वह कहे मैंने अपने लिए या अपने बेटे या मुअक्किल के लिए क़बूल किया या एक त़रफ़ से अम्र का सेग़ा हो दूसरी त़रफ़ से माज़ी का मसलन यूँ कि तू मुझ से अपना निकाह़ कर दे या तू मेरी औ़रत हो जा उस ने कहा मैंने क़बूल किया या ज़ौजियत में दिया हो जायेगा या एक त़रफ़ से ह़ाल का सेग़ा हो दूसरी त़रफ़ से माज़ी का मसलन कहे तू मुझ से अपना निकाह़ करती है उस ने कहा किया तो हो गया या यूँ कि मैं तुझ से निकाह़ करता हूँ उस ने कहा मैंने क़बूल किया तो होजायेगा इन दोनों सूरतों में पहले शख़्स को उस की ज़रूरत नहीं कि कहे मैंने क़बूल किया और अगर कहा तूने अपनी लड़की का मुझ से निकाह़ कर दिया उस ने कहा कर दिया या कहा हाँ तो जब तक पहला शख़्स यह न कहे कि मैं ने क़बूल किया निकाह़ न होगा और उन लफ़्ज़ों से कि निकाह़ करूँगा या क़बूल करूँगा निकाह़ नहीं हो सकता (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी वग़ैरा स 285)

मसअ्ला :– बाज़ ऐसी सूरतें भी हैं जिन में एक ही लफ़्ज़ से निकाह़ हो जायेगा मसलन चचा की

नाबालिग़ा लड़की से निकाह करना चाहता है और वली यहीं है तो दो गवाहों के सामने इतना कह देना काफ़ी है कि मैं ने उस से अपना निकाह किया या लड़का लड़की दोनों नाबालिग़ा हैं और एक ही शख़्स दोनों का वली है या मर्द व औरत दोनों ने एक शख़्स को वकील किया उस वली या वकील ने यह कहा कि मैं ने फ़ुलाँ का फ़ुलानी के साथ निकाह कर दिया हो गया इन सब सूरतों में क़बूल की कुछ हाजत नहीं।(जौहरा नय्यरा)

मसअला :– दोनों मौजूद हैं एक ने एक पर्चा पर लिखा मैं ने तुझ से निकाह किया दूसरे ने भी लिख कर दिया या ज़बान से कहा मैं ने क़बूल किया निकाह न हुआ और अगर एक मौजूद है दूसरा ग़ाइब उस ग़ाइब ने लिख भेजा उस मौजूद ने गवाहों के सामने पढ़ा या कहा फ़लाँ ने ऐसा लिखा मैंने अपना निकाह उस से किया तो होगया और अगर उस का लिखा हुआ न सुनाया न बताया फ़क़त इतना कह दिया कि मैंने उस से अपना निकाह कर दिया तो न हुआ हाँ अगर उस में अम्र का लफ़्ज़ था मसलन तू मुझ से निकाह कर तो गवाहों को ख़त सुनाने या मज़मून बताने की हाजत नहीं। और अगर उस मौजूद ने उस के जवाब में ज़बान से कुछ न कहा बल्कि वह अल्फ़ाज़ लिख दिये जब भी न हुआ (रद्दुल मुहतार स 288)

मसअला :– औरत ने मर्द से ईजाब के अल्फ़ाज़ कहे मर्द ने उस के जवाब में क़बूल के लफ़्ज़ न कहे और महर के रुपये देदिये तो निकाह न हुआ। (रद्दुल मुहतार 287)

मसअला :– यह इक़रार कि यह मेरी औरत है निकाह नहीं यानी अगर पेश्तर से निकाह न हुआ था तो फ़क़त यह इक़रारे निकाह क़रार न पायेगा अल्बत्ता क़ाज़ी के सामने दोनों ऐसा इक़रार करें तो वह हुक्म दे देगा कि यह मियाँ बीवी हैं। और अगर गवाहों के सामने इक़रार किया गवाहों ने कहा तुम दोनों ने निकाह किया कहा हाँ तो होगया (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार स 287)

मसअला :– निकाह की इज़ाफ़त कुल की तरफ़ हो या ऐसे अज़्व की तरफ़ जिसे बोल कर कुल मुराद लेते हैं मसलन सर व गर्दन तो अगर यह कहा कि निस्फ़ से निकाह किया न हुआ(दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– अल्फ़ाज़े निकाह दो क़िस्म के हैं एक सरीह यह सिर्फ़ दो लफ़्ज़ हैं निकाह व तज़व्वुज बाक़ी किनाया हैं अलफ़ाज़े किनाया में उन लफ़्ज़ों से निकाह हो सकता है जिस से ख़ुद शय (चीज़)मिल्क में आजाती है मसलन हिबा, तमलीक,सदक़ा अ़त्या,बैअ़ शरा(कोई चीज़ देदेना, मालिक बनादेना, अ़ता करना, ख़रीदने बेचने)मगर उन में क़रीना की ज़रूरत है कि गवाह उसे निकाह समझें।(दुर्रे मुख़्तार स290 आलमगीरी स 270)

मसअला :– एक ने दूसरे से कहा मैंने अपनी यह लौन्डी तुझे हिबा की तो अगर यह पता चलता है कि निकाह है मसलन गवाहों को बुला कर उन के सामने कहना और महर का ज़िक्र वग़ैरा तो यह निकाह होगया और अगर क़रीना न हो मगर वह कहता है मैंने निकाह मुराद लिया था और जिसे हिबा की वह उस की तस्दीक़ करता है जब भी निकाह है और अगर वह तस्दीक़ न करे तो हिबा क़रार दिया जायेगा और आज़ाद औरत की निस्बत यह अल्फ़ाज़ कहे तो निकाह ही है क़रीना की हाजत नहीं मगर जब ऐसा क़रीना पाया जाये जिस से मअ़लूम होता है कि निकाह नहीं तो नहीं, मसलन मआज़ल्लला किसी औरत से ज़ना की दरख़्वास्त की उस ने कहा मैंने अपने को तुझे हिबा कर दिया उस ने कहा क़बूल किया तो निकाह न हुआ या लड़की के बाप ने कहा यह लड़की

ख़िदमत के लिए मैं ने तुझे हिबा कर दी उस ने कबूल किया तो यह निकाह नहीं मगर जबकि उस लफ़्ज़ से निकाह मुराद लिया तो हो जायेगा (आलमगीरी सफ़ा 270 रद्दुल मुहतार सफ़ा 291)

मसअ्ला :– औरत से कहा तू मेरी हो गई उस ने कहा हाँ मैं तेरी हो गई या औरत से कहा ब एवज़ इतने के तू मेरी औरत हो जा उस ने क़बूल किया या औरत ने मर्द से कहा मैं ने तुझ से अपनी शादी की मर्द ने क़बूल किया मर्द ने औरत से कहा तूने अपने को मेरी औरत किया उस ने कहा किया तो इन सब सूरतों में निकाह हो जायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिस औरत को बाइन तलाक़ दी है उस ने गवाहों के सामने कहा मैं ने अपने को तेरी तरफ़ वापस किया मर्द ने क़बूल किया निकाह हो गया (आलमगीरी सफ़ा 271)अजनबी औरत अगर यह लफ़्ज़ कहे तो न होगा।

मसअ्ला :– किसी ने दूसरे से कहा अपनी लड़की का मुझ से निकाह कर दे उस ने कहा उसे उठा ले जा या तू जहाँ चाहे ले जा तो निकाह न हुआ। (आलमगीरी स 271)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने मंगनी का पैग़ाम किसी के पास भेजा उन पैग़ाम ले जाने वालों ने वहाँ जाकर कहा तूने अपनी लड़की हमें दी उस ने कहा दी निकाह न हुआ। (आलमगीरी सफ़ा 172)

मसअ्ला :– लड़के के बाप ने गवाहों से कहा मैंने अपने लड़के का निकाह फ़लाँ की लड़की के साथ इतने महर पर कर दिया तुम गवाह हो जाओ फिर लड़की के बाप से कहा गया क्या ऐसा नहीं है उस ने कहा ऐसा ही है और उस के सिवा कुछ न कहा तो बेहतर यह है कि निकाह की तजदीद की जाये (आलमगीरी सफ़ा 271)

मसअ्ला :– लड़के के बाप ने लड़की के बाप के पास पैग़ाम दिया उस ने कहा मैंने तो उसका निकाह फ़ुलाँ से कर दिया है उस ने कहा नहीं तो उस ने कहा अगर मैं ने उस से निकाह न किया हो तो तेरे बेटे से कर दिया उस ने कहा मैंने कबूल किया बअ्द को मालूम हुआ कि उस लड़की का निकाह किसी से नहीं हुआ था तो यह निकाह सहीह हो गया। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत ने मर्द से कहा मैंने तुझ से अपना निकाह किया इस शर्त पर कि मुझे इख़्तियार है जब चाहूँ अपने को तलाक़ दे लूँ मर्द ने कबूल किया तो निकाह हो गया और औरत को इख़्तियार रहा जब जाहे अपने को तलाक़ दे ले।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– निकाह में ख़ियारे रुयत, ख़ियारे ऐब, ख़ियारे शर्त, मुतलक़न नहीं ख़्वाह मर्द को ख़ियार हो या औरत के लिए या दोनों के लिए तीन दिन का ख़ियार हो या कम या ज़ाइद का मसलन अन्धे लुन्झे अपाहिज न होने की शर्त लगाई या यह शर्त की कि खुबसूरत हो और उस के ख़िलाफ़ निकला या मर्द ने शर्त लगाई कि कुंवारी हो और है उसके ख़िलाफ़ तो निकाह हो जायेगा और शर्त बातिल यूँही औरत ने शर्त लगाई कि मर्द शहरी हो निकला देहाती तो अगर कफ़ू है निकाह हो जायेगा और औरत को कुछ इख़्तियार नहीं या इस शर्त पर निकाह हुआ कि बाप को इख़्तियार है तो निकाह हो गया और उसे इख़्तियार नहीं। (आलमगीरी 377)

मसअ्ला :– निकाह में महेर का ज़िक्र हो तो ईजाब पूरा जब होगा कि महर भी ज़िक्र कर ले मसलन यह कहता था कि फुलाँ औरत तेरे निकाह में दी बएवज़ हज़ार रुपये के और महर के ज़िक्र से पेशतर उस ने कहा मैं ने कबूल की निकाह न हुआ कि अभी ईजाब पूरा न हुआ था और अगर

महर का ज़िक्र न होता तो हो जाता (दुर्रे मुख़्तार स 289 रद्दुल मुहतार)

मसअला :– किसी ने लड़की के बाप से कहा तेरे पास इस लिए आया कि तू अपनी लड़की का निकाह मुझ से कर दे उस ने कहा मैं ने उस को तेरे निकाह में दिया निकाह हो गया क़बूल की भी हाजत नहीं बल्कि उसे अब यह इख़्तियार नहीं कि न क़बूल करे। (रद्दुल मुहतार 287)

मसअला :– किसी ने कहा तूने लड़की मुझे दी उस ने कहा दी अगर निकाह की मज्लिस है तो निकाह है और मंगनी की है तो मंगनी (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– औरत को अपनी दुल्हन या बीवी कह कर पुकारा उस ने जवाब दिया तो उस से निकाह नहीं होता (रद्दुल मुहतार) निकाह के लिए चन्द शर्तें हैं 1. **आक़िल** होना मजनून या ना समझ बच्चा ने निकाह किया तो मुन्अक़िद ही न हुआ। 2. **बुलूग़**, नाबालिग़ अगर समझवाला है तो मुन्अक़िद हो जायेगा मगर वली की इजाज़त पर मौक़ूफ़ रहेगा 3. **गवाह** होना ईजाब व क़बूल दो मर्द या एक मर्द और दो औरतों के सामने हों गवाह आज़ाद आक़िल बालिग़ हो और सब ने एक साथ निकाह के अलफ़ाज़ सुने बच्चों ओर पागलों की गवाही से निकाह नहीं हो सकता न ग़ुलाम की गवाही से अगर्चे मुदब्बिर या मुकातिब (**मुदब्बिर** :– यह ग़ुलाम जिसका आक़ा के मरने के बाद आज़ाद होना साबितहै। **मुकातिब** :– ऐसा ग़ुलाम जिस से आक़ा ने कह दिया हो कि इतना माल अदा कर दे तो तू आज़ाद है(कादरी) हो–मुसलमान औरत के साथ है तो गवाहों का मुसलमान होना भी शर्त है लिहाज़ा मुसलमान मर्द व औरत का निकाह काफ़िर की शहादत से नहीं हो सकता और अगर किताबिया से मुसलमान मर्द का निकाह हो तो उस निकाह के गवाह ज़िम्मी काफ़िर भी हो सकते हैं अगर्चे औरत के मज़हब के ख़िलाफ़ गवाहों का मज़हब हो मसलन औरत नसरानिया है और गवाह यहूदी या बिलअक्स यूँहीं अगर काफ़िर काफ़िरा का निकाह हो तो उस निकाह के गवाह काफ़िर भी हो सकते हैं अगर्चे दूसरे मज़हब के हों।

मसअला :– समझदार बच्चे या ग़ुलाम के सामने निकाह हुआ और मज्लिसे निकाह में वह लोग भी थे जो निकाह के गवाह हो सकते हैं फिर वह बच्चा बालिग़ हो कर या ग़ुलाम आज़ाद होने के बाद उस निकाह की गवाही दें कि हमारे सामने निकाह हुआ और उस वक़्त हमारे सिवा निकाह में और लोग भी मौजूद थे जिन की गवाही से निकाह हुआ तो उन की गवाही मान ली जायेगी(रद्दुल मुहतार स 296)

मसअला :– मुसलमान का निकाह ज़िम्मिया से हुआ और गवाह ज़िम्मी थे अब अगर मुसलमान ने निकाह से इन्कार कर दिया तो उन की गवाही से निकाह साबित न होगा (दुर्रे मुख़्तार स 297)

मसअला :– सिर्फ़ औरतों या ख़ुन्सा की गवाही से निकाह नही हो सकता जब तक उन में के दो के साथ एक मर्द न हो (ख़ानिया)

मसअला :– सोते हुओं के सामने ईजाब व क़बूल हुआ तो निकाह न हुआ यूँही अगर दोनों गवाह बहरे हों कि उन्होंने अल्फ़ाज़े निकाह न सुने तो निकाह न हुआ (ख़ानिया)

मसअला :– एक गवाह सुनता है और एक बहरा बहरे ने नहीं सुना और उस सुनने वाले या किसी और ने चिल्ला कर उस के कान में कहा निकाह न हुआ जब तक दोनों गवाह एक साथ आक़ेदैन से न सुनें (ख़ानिया स 332)

मसअला :– एक गवाह ने सुना दूसरे ने नहीं फिर लफ़्ज़ का इआदा किया अब दूसरे ने सुना पहले

ने नहीं तो निकाह न हुआ (ख़ानिया स 332)

मसअला :– गूँगे गवाह नहीं हो सकते कि जो गूँगा होता है बहरा भी होता है हाँ अगर गूँगा हो और बहरा न हो तो हो सकता है (हिन्दिया स 268)

मसअला :– आक़ेदैन गूँगे हों तो निकाह इशारे से होगा लिहाज़ा उस निकाह का गवाह गूँगा हो सकता है और बहरा भी (रद्दुल मुहतार 296)

मसअला :– गवाह दूसरे मुल्क के हैं कि यहाँ की ज़बान नहीं समझते तो अगर यह समझ रहे हैं कि निकाह हो रहा है और अल्फ़ाज़ भी सुने और समझे यानी वह अल्फ़ाज़ ज़बान से अदा कर सकते हैं अगर्चे उन के मअ्ना नहीं समझते निकाह हो गया (ख़ानिया स 268 आलमगीरी स 268 रद्दुल मुहतार 296)

मसअला :– निकाह के गवाह फ़ासिक़ हों या अन्धे या उन पर तोहमत की हद लगाई गई हो तो उन की गवाही से निकाह मुनअ़क़िद हो जायेगा मगर आक़ेदैन में से अगर कोई इन्कार कर बैठे तो उन की शहादत से निकाह साबित न होगा (दुर्रे मुख़्तार स 396 रद्दुल मुहतार 397)

मसअल :– औरत या मर्द दोनों के बेटे गवाह हुए निकाह हो जायेगा मगर मियाँ बीवी में से अगर किसी ने निकाह से इन्कार कर दिया तो उन लड़कों की गवाही अपने बाप या माँ के हक़ में मुफ़ीद नहीं मसलन मर्द के बेटे गवाह थे और औरत निकाह से इन्कार करती है अब शौहर ने अपने बेटों को गवाही के लिए पेश किया तो उन की गवाही अपने बाप के लिए नहीं मानी जायेगी और अगर वह दोनों गवाह दोनों के बेटे हों या एक एक का दूसरा दूसरे का तो उन की गवाही किसी के लिए नहीं मानी जायेगी (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– किसी ने अपनी बालिग़ा लड़की का निकाह उस की इजाज़त से कर दिया और अपने बेटों को गवाह बनाया अब लड़की कहती है कि मैंने इज़्न नहीं दिया और उस का बाप कहता है दिया तो लड़कों की गवाही कि इज़्न दिया था मक़बूल नहीं। (ख़ानिया)

मसअला :– एक शख़्स ने किसी से कहा कि मेरी नाबालिग़ा लड़की का निकाह फुलाँ से कर दे उस ने एक गवाह के सामने कर दिया तो अगर लड़की का बाप वक़्ते निकाह मौजूद था निकाह हो गया कि वह दोनों गवाह हो जायेंगे और बाप आक़िद, और मौजूद न था तो न हुआ यूँही अगर बालिग़ा का निकाह उस की इजाज़त से बाप ने एक शख़्स के सामने पढ़ाया अगर लड़की वक़्ते अ़क़्द मौजूद थी हो गया वरना नहीं यूँही अगर औरत ने किसी को अपने निकाह का वकील किया उसने एक शख़्स के सामने पढ़ा दिया तो अगर मुअक्किला मौजूद है हो गया वरना नहीं ख़ुलासा यह कि मुअक्किल अगर बवक़्ते अ़क़्द मौजूद है तो अगर्चे वकील अ़क़्द कर रहा है मगर मुअक्किल आक़िद क़रार पायेगा और वकील गवाह मगर यह ज़रूर है कि गवाही देते वक़्त अगर वकील ने कहा मैं ने पढ़ाया है तो शहादत ना मक़बूल है कि यह ख़ुद अपने फ़ेअ्ल की शहादत हुई(दुर्रे मुख़्तार स 297)

मसअला :– मौला ने अपनी बाँदी या ग़ुलाम का एक शख़्स के सामने निकाह किया तो अगर्चे वह मौजूद हो निकाह न हुआ और अगर उसे निकाह की इजाज़त दे दी फ़िर उस की मौजूदगी में एक शख़्स के सामने निकाह किया तो हो जायेगा (दुर्रे मुख़्तार स 298)

मसअला :– गवाहों का ईजाब व क़बूल के वक़्त होना शर्त है लिहाज़ा अगर निकाह इजाज़त पर मौक़ूफ़ है और ईजाब व क़बूल गवाहों के सामने हुए और इजाज़त के वक़्त न थे होगया और उस

का अक्स हुआ तो नहीं (आलमगीरी)

मसअला :– गवाह उसी को नहीं कहते जो दो शख़्स मज्लिसे अक़्द में मुक़र्रर कर लिए जाते हैं बल्कि वह तमाम हाज़िरीन गवाह हैं जिन्होंने ईजाब व क़बूल सुना अगर क़ाबिले शहादत हों।

मसअला :– एक घर में निकाह हुआ और यहाँ गवाह नहीं दूसरे मकान में कुछ लोग हैं जिन को उन्होंने गवाह नहीं बनाया मगर वह वहाँ से सुन रहे हैं अगर वह लोग उन्हें देख भी रहे हों तो उन की गवाही मक़बूल है वरना नहीं। (आलमगीरी स 268)

मसअला :– औरत से इज़्न लेते वक़्त गवाहों की ज़रूरत नहीं यानी उस वक़्त अगर गवाह न भी हों और निकाह पढ़ाते वक़्त हों तो निकाह हो गया अल्बत्ता इज़्न के लिए गवाहों की यूँ हाजत है कि अगर उस ने इन्कार कर दिया और यह कहा कि मैंने इज़्न नहीं दिया था तो अब गवाहों से उस का इज़्न देना साबित किया जायेगा (आलमगीरी स 268 रद्दुल मुहतार स 295 वग़ैराहुमा)

मसअला :– जो तमाम हिन्दुस्तान में आम तौर पर रिवाज हो गया है कि औरत से एक शख़्स इज़्न ले कर आता है जिसे वकील कहते हैं वह निकाह पढ़ाने वाले से कह देता है मैं फ़ुलाँ का वकील हूँ आप को इजाज़त देता हूँ कि निकाह पढ़ा दीजिए यह तरीक़ा महज़ ग़लत है वकील को यह इख़्तियार नहीं कि उस काम के लिए दूसरे को वकील बना दे अगर ऐसा किया तो निकाह फ़ुज़ूली हुआ इजाज़त पर मौक़ूफ़ है इजाज़त से पहले मर्द व औरत हर एक को तोड़देने का इख़्तियार हासिल है बल्कि यूँ चाहिए कि जो पढ़ाये वह औरत या उस के वली का वकील बने ख़्वाह यह ख़ुद उस के पास जा कर वकालत हासिल करे या दूसरा उस की वकालत के लिए इज़्न लाये कि फ़ुलाँ इब्ने फ़ुलाँ इब्ने फ़ुलाँ को तूने वकील किया कि वह तेरा निकाह फ़लाँ इब्ने फ़लाँ इब्ने फ़लाँ से कर दे औरत कहे हाँ।

जिस औरत से निकाह हो रहा है उसका मुतअय्यन करना

मसअला :– यह अम्र भी ज़रूरी है कि मनकूहा गवाहों को मालूम हो जाये यानी यह कि फ़लाँ औरत से निकाह होता है उस के दो तरीक़े हैं एक यह कि अगर वह मज्लिसे अक़्द में मौजूद है तो उस की तरफ़ निकाह पढ़ाने वाला इशारा कर के कहे कि मैं ने उस को तेरे निकाह में दिया अगर्चे औरत के मुँह पर निक़ाब पड़ा हो बस इशारा काफ़ी है और इस सूरत में अगर उस के या उस के बाप दादा के नाम में ग़ल्ती भी हो जाये तो कुछ हर्ज नहीं कि इशारे के बाद अब किसी नाम वग़ैरा की ज़रूरत नहीं और इशारे की तईन के मक़ाबिल कोई ताईन नहीं दूसरी सूरत मालूम करने की यह है कि औरत और उस के बाप और दादा के नाम लिए जायें कि फ़ुलाना बिन्ते फ़ुलाँ इब्ने फ़ुलाँ और सिर्फ़ उसी के नाम लेने से गवाहों को मालूम हो जाये कि फ़ुलानी औरत से निकाह हुआ तो बाप दादा के नाम लेने की ज़रूरत नहीं। फ़िर भी एहतियात उस में है कि उन के नाम भी लिए जायें और उस की अस्लन ज़रूरत नहीं कि उसे पहचानते हो बल्कि यह जानना काफ़ी है कि फ़ुलानी और फ़ुलाँ की बेटी फ़ुलाँ की पोती है और उस सूरत में अगर उस के या उस के बाप दादा के नाम में ग़लती हुई तो निकाह न हुआ और हमारी ग़र्ज़ नाम लेने से यह नहीं कि ज़रूर उस का नाम ही लिया जाये बल्कि मक़सूद यह है कि तईन हो जाये ख़्वाह नाम के ज़रीआ से या यूँ कि

फुलाँ इब्ने फुलाँ इब्ने फुलाँ की लड़की और अगर उस की चन्द लड़कियाँ हों तो बड़ी या मंझली या संझली या छोटी ग़र्ज़ तईन हो जाना ज़रूर है और चूँकि हिन्दुस्ता में औरतों का नाम मजमअ् में ज़िक्र करना मअ़यूब है लिहाज़ा यही पिछला तरीक़ा यहाँ के मुनासिब है (रद्दुल मुहतार स 295 वग़ैरा)

तम्बीह :– बाज़ निकाह ख़्वाँ को देखा गया है कि रिवाज की वजह से नाम नहीं लेते और नाम लेने को ज़रूरी भी समझते हैं लिहाज़ा दूल्हा के कान में चुपके से लड़की का नाम ज़िक्र कर देते हैं फिर इन लफ़्ज़ों से ईजाब करते है कि फुलाँ की लड़की जिसका नाम तुझे मालूम है मैंने अपनी वकालत से तेरे निकाह में दी इस सूरत में अगर उस की और लड़कियाँ भी हैं तो गवाहों के सामने तईन न हुई यहाँ तक कि अगर यूँ कहा कि मैं ने अपनी मुअक्किला तेरे निकाह में दी या जिस औरत ने अपना इख़्तियार मुझे देदिया है उसे तेरे निकाह में दिया तो फ़तवा इस पर है कि निकाह न हुआ।

मसअ्ला :– एक शख़्स की दो लड़कियाँ हैं और निकाह पढ़ाने वाले ने कहा कि फुलाँ की लड़की तेरे निकाह में दी तो उन में अगर एक का निकाह हो चुका है तो होगया कि वह जो बाक़ी है वही मुराद है (रद्दुल मुहतार)वकील ने मुअक्किला के बाप के नाम में ग़लती की और मुवक्किला की तरफ़ इशारा भी न हो तो निकाह नहीं हुआ यूँही अगर लड़की के नाम में ग़लती करे जब भी न हुआ (दुर्रे मुख़्तार स 298–99)

मसअ्ला :– किसी की दो लड़कियाँ हैं बड़ी का निकाह करना चाहता है और नाम ले दिया छोटी का तो छोटी का निकाह हुआ और अगर कहा बड़ी लड़की जिस का नाम यह है और नाम लिया छोटी का तो किसी का न हुआ (दुर्रे मुख़्तार स 299 रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– लड़की के बाप ने लड़के के बाप से सिर्फ़ इतने लफ़्ज़ कहे कि मैंने अपनी लड़की का निकाह किया लड़के के बाप ने कहा मैंने क़बूल किया तो यह निकाह लड़के के बाप से हुआ अगर्चे पेश्तर से ख़ुद लड़के की निस्बत वग़ैरा हो चुकी हो और अगर यूँ कहा मैंने अपनी लड़की का निकाह तेरे लड़के से किया उस ने कहा मैंने क़बूल किया तो अब लड़के से हुआ अगर्चे उस ने यह न कहा कि मैं ने अपने लड़के के लिए क़बूल की और अगर पहली सूरत में यह कहता कि मैंने अपने लड़के के लिए क़बूल की तो लड़के ही का होता। (रद्दुल मुहतार 299)

मसअ्ला :– लड़के के बाप ने कहा तू अपनी लड़की का निकाह मेरे लड़के से कर दे उस ने कहा मैंने तेरे निकाह में दी उस ने कहा मैंने क़बूल की तो उसी का निकाह हुआ उस के लड़के का न हुआ और ऐसा भी अब नहीं हो सकता कि बाप तलाक़ दे कर लड़के से निकाह कर दे कि वह तो हमेशा के लिए लड़के पर हराम होगई (रद्दुल मुहतार 299)

मसअ्ला :– औरत से इजाज़त लें तो उस में भी ज़ौज और उस के बाप दादा के नाम ज़िक्र कर दें कि जिहालत बाक़ी न रहे।

मसअ्ला :– औरत ने इज़्न दिया अगर उस को देख रहा है और पहचानता है तो उस के इज़्न का गवाह हो सकता है यूँही अगर मकान के अन्दर से आवाज़ आई और उस घर में वह तन्हा है तो भी शहादत दे सकता है और अगर तन्हा नहीं और इज़्न देने की आवाज़ आई तो अगर बाद में औरत ने कहा कि मैंने इज़्न नहीं दिया था तो यह गवाही नहीं दे सकता कि उसी ने इज़्न दिया था मगर वाक़ेई अगर उस ने दे दिया था जब तो पूरी तरह से निकाह हो गया वरना निकाह फ़ुज़ूली होगा

कि उसकी इजाज़त पर मौक़ूफ़ रहेगा (रद्दुल मुहतार 295 वग़ैरा)

मसअला :– सुना गया है कि बाज़ लड़कियाँ इज़्न देते वक़्त कुछ नहीं बोलतीं दूसरी औरतें हूँ कर दिया करती हैं यह नहीं चाहिए (4) **ईजाब व क़बूल दोनों का एक मज्लिस में होना**:–तो अगर दोनों एक मज्लिस में मौजूद थे एक ने ईजाब किया दूसरा क़बूल से पहले उठ खड़ा हुआ या कोई ऐसा काम शुरू कर दिया जिस से मज्लिस बदल जाती है तो ईजाब बातिल हो गया अब क़बूल करना बेकार है फिर से होना चाहिए (आलमगीरी स 269)

मसअला :– मर्द ने कहा मैंने फुलानी से निकाह किया और वह वहाँ मौजूद न थी उसे ख़बर पहुँची तो कहा मैं ने क़बूल किया या औरत ने कहा मैंने अपने को फुलाँ की ज़ौजियत में दिया और वह ग़ाइब था जब ख़बर पहुँची तो कहा मैंने क़बूल किया तो दोनों सूरतों में निकाह न हुआ अगर्चे जिन गवाहों के सामने ईजाब हुआ उन्हीं के सामने क़बूल भी हुआ (आलमगीरी स 269)

मसअला :– अगर ईजाब के अल्फ़ाज़ ख़त में लिख कर भेजे और जिस मज्लिस में ख़त उस के पास पहुँचा उस में क़बूल न किया बल्कि दूसरी मज्लिस में गवाहों को बुला कर क़बूल किया तो हो जायेगा जबकि वह शर्तें पाई जायें जो ऊपर मज़कूर हुईं जिस के हाथ ख़त भेजा मर्द हो या औरत आज़ाद हो या ग़ैर आज़ाद बालिग़ हो या नाबालिग़ सालेह हो या फ़ासिक़ (आलमगीरी)

मसअला :– किसी की मअ़रिफ़त ईजाब के अल्फ़ाज कहला कर भेजा उस पैग़ाम पहुँचाने वाले ने जिस मज्लिस में पैग़ाम पहुँचाया उस में क़बूल न किया फिर दूसरी मज्लिस में क़ासिद ने तक़ाज़ा किया अब क़बूल किया तो निकाह न हुआ (रद्दुल मुहतार स 289)

मसअला :– चलते हुए या जानवर पर सवार जा रहे थे और ईजाब व क़बूल हुआ निकाह न हुआ कश्ती पर जा रहे थे और उस हालत में हुआ तो हो गया। (रद्दुल मुहतार स 289 वग़ैरा)

मसअला :– ईजाब के बाद फ़ौरन क़बूल करना शर्त नहीं जबकि मज्लिस न बदली हो लिहाज़ा अगर निकाह पढ़ाने वाले ने ईजाब के अल्फ़ाज़ कहे और दूल्हा ने सुकूत किया फिर किसी के कहने पर क़बूल किया तो हो गया (रद्दुल मुहतार स 289 वग़ैरा)

ईजाब व क़बूल में मुख़ालफ़त न होना

मसअला :– 5.क़बूल ईजाब के मुख़ालिफ़ न हो मसलन उस ने कहा हज़ार रुपये महर पर तेरे निकाह में दी उस ने कहा निकाह तो क़बूल किया और महर क़बूल नहीं तो निकाह न हुआ और अगर निकाह क़बूल किया और महर की निस्बत कुछ न कहा तो हज़ार पर निकाह हो गया। (आलमगीरी स 289)

मसअला :– अगर कहा हज़ार पर तेरे निकाह में दी उस ने कहा दो हज़ार पर मैंने क़बूल की या मर्द ने औरत से कहा हज़ार रुपये महर पर मैंने तुझ से निकाह किया औरत ने कहा पाँचसौ महर पर मैंने क़बूल किया तो हो गया मगर पहली सूरत में अगर औरत ने भी उसी मज्लिस में दो हज़ार क़बूल किये तो महर दो हज़ार वरना एक हज़ार और अगर दूसरी सूरत में मुतलक़न पाँच सौ महर है अगर औरत ने हज़ार को कहा मर्द ने पाँच सौ पर क़बूल किया तो ज़ाहिर यह है कि नहीं हुआ इस लिए कि यह क़बूल ईजाब के मुख़ालिफ़ है (आलमगीरी रद्दुल मुहतार)

मसअला :– ग़ुलाम ने बग़ैर इजाज़ते मौला अपना निकाह किसी औरत से किया और महर ख़ुद

अपने को किया उस के मौला ने निकाह़ तो जाइज़ किया मगर ग़ुलाम के महर में होने की इजाज़त न दी तो निकाह हो गया और महर की निस्बत यह हुक्म है कि महर मिस्ल व क़ीमते ग़ुलाम दोनों में जो कम है वह महर है ग़ुलाम बेचकर महर अदा किया जाये (आ़लमगीरी स़ 229)(6)लड़की बालिग़ है तो उस का राज़ी होना शर्त़ है वली को यह इख़्तियार नहीं कि बग़ैर उस की रज़ा के निकाह़ कर दे(7)किसी ज़माना आइन्दा की त़रफ़ निस्बत न की हो न किसी शर्त़ ना मा़लूम पर मुअ़ल्लक़ किया हो मसलन मैंने तुझ से आइन्दा रोज़ में निकाह़ किया मैं ने निकाह़ किया अगर ज़ैद आये इन सूरतों में निकाह न हुआ।

मसअला :– जबकि स़रीह़ अल्फ़ाज़ निकाह़ में इस्तेमाल किये जायें तो आ़क़ेदैन और गवाहों का उन के मअ़ना जानना शर्त़ नहीं (दुर्रेमुख़्तार स़ 290) निकाह़ की इज़ाफ़त कुल की त़रफ़ हो या उन अअ़्ज़ा की त़रफ़ जिन को बोल कर कुल मुराद लेते हैं तो अगर यह कहा फ़ुलाँ के हाथ या पाँव या निस्फ़ से निकाह़ किया स़ह़ीह़ न हुआ (आलमगीरी)

मह़रमात का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है।

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّ مَقْتًا ط وَسَاءَ سَبِيْلًا ٥ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَ بَنٰتُكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ وَ عَمّٰتُكُمْ وَ خٰلٰتُكُمْ وَ بَنٰتُ الْاَخِ وَ بَنٰتُ الْاُخْتِ وَ اُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِیْ اَرْضَعْنَكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَ اُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَ رَبَآئِبُكُمُ الّٰتِیْ فِیْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِیْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ز وَ حَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ وَ اَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ٥ وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ج وَ اُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ط

'तर्जमा:–' उन औ़रतों से निकाह़ न करो जिन से तुम्हारे बाप दादा ने निकाह़ किया हो मगर जो गुज़र चुका बेशक यह बे ह़याई और ग़ज़ब का काम है और बहुत बुरी राह। तुम पर ह़राम हैं तुम्हारी माऐं और बेटियाँ और बहनें और फूफियाँ और ख़ालायें और भतीजियाँ और भानजीयाँ और तुम्हारी वह मायें जिन्हों ने तुम्हें दूध पिलाया और दूध की बहनें और तुम्हारी औ़रतों की मायें और उन की बेटियाँ जो तुम्हारी गोद में हैं उन बीवियों से जिन से तुम जिमाअ़ कर चुके हो और अगर तुम ने उन से जिमाअ़ न किया हो तो उन की बेटियों में गुनाह नहीं और तुम्हारे नस्ली बेटों की बीवियाँ और दो बहनों को इकठ्ठा करना मगर जो हो चुका बेशक अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है और ह़राम हैं शौहर वाली औ़रतें मगर काफ़िरों की औ़रतें जो तुम्हारी मिल्क में आजायें यह अल्लाह का नविश्ता है और उन के सिवा जो रहीं वह तुम पर ह़लाल हैं। कि अपने मालों के एवज़ तलाश करो पारसाई चाहते न ज़ना करते'' **और फ़रमाता है।**

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ط وَ لَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّ لَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ج وَلَا تُنْكِحُوا

الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ط وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّ لَوْ اَعْجَبَكُمْ ط اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ وَ يُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ط

तर्जमा :– "मुशरिक औरतों से निकाह न करो जब तक ईमान न लायें बेशक मुसलमान बाँदी मुशरिका से बेहतर है अगर्चे तुम्हें यह भली मालूम होती हो और मुशरिकों से निकाह न करो जब तक ईमान न लायें बेशक मुसलमान ग़ुलाम मुश्रिक से बेहतर है अगर्चे तुम्हें यह अच्छा मालूम होता हो यह दोज़ख़ की तरफ़ बुलाते हैं और अल्लाह बुलाता है जन्नत व मग़्फ़िरत की तरफ़ अपने हुक्म से और लोगों के लिए अपनी निशानियाँ ज़ाहिर फ़रमाता है ताकि लोग नसीहत मानें"।

हदीस न.1 :– सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि औ़रत और उस की फूपी को जमअ़ न किया जाये और न औ़रत और उस की ख़ाला को।

हदीस न.2 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व दारमी व निसाई की रिवायत उन्हीं से है कि हुज़ूर ने उस से मनअ़ फ़रमाया कि फूपी के निकाह में होते उस की भतीजी से निकाह किया जाये या भतीजी के होते हुए उस की फूपी से या ख़ाला के होते हुए उसकी भान्जी से या भान्जी के होते हुए उस की ख़ाला से।

हदीस न.3 :– इमाम बुख़ारी आ़इशा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो औ़रतें विलादत (नस्ब)से हराम हैं वह रदाअ़त (दूध पिलाने का रिश्ता)से भी हराम हैं।

हदीस न.4 :– सहीह मुस्लिम में मौला अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया बेशक अल्लाह तआ़ला ने रदाअ़त से उन्हें हराम कर दिया जिन्हें नस्ब से हराम फ़रमाया।

मसाइले फ़िक़्हिया

महरमात वह औ़रतें हैं जिन से निकाह हराम है और हराम होने के चन्द सबब हैं लिहाज़ा इस बयान को नौ क़िस्म पर तक़्सीम किया जाता है।

क़िस्मे अव्वल :– **नस्ब** इस क़िस्म में सात औ़रतें हैं (1)माँ (2)बेटी (3)बहन (4) फूफी(5) ख़ाला (6) भतीजी (7) भानजी।

मसअ्ला :– दादी, नानी, पर दादी, पर नानी, अगर्चे कितनी ही ऊपर की हों सब हराम हैं और यह सब माँ में दाख़िल हैं यह बाप या माँ या दादा, दादी, नाना, नानी की मायें हैं कि माँ से मुराद वह औ़रत है जिसकी औलाद में यह है बिला वास्ता या ब–वास्ता

मसअ्ला :– बेटी से मुराद वह औ़रतें हैं जो उसकी औलाद हैं लिहाज़ा पोती, नवासी, पर पोती पर नवासी अगर्चे दरमियान में कितनी ही पुश्तों का फ़ासिला हो सब हराम हैं।

मसअ्ला :– बहन ख़्वाह हक़ीक़ी हो यअ़नी एक माँ बाप से या सोतेली कि बाप दोनों का एक है और मायें दो या माँ एक है और बाप दो सब हराम हैं।

मसअ्ला :– बाप, माँ, दादा, दादी, नाना, नानी, वग़ैराहुम उसूल की फूपियाँ या ख़ालायें अपनी फूफ़ियाँ और ख़ाला के हुक्म में हैं ख़्वाह यह हक़ीक़ी हों या सोतेली। यूँही हक़ीक़ी या अ़ल्लाती

फूफ़ी की फूफ़ी या हक़ीक़ी या अख़्याफ़ी ख़ाला की ख़ाला।
मसअ्ला :– भतीजी भानजी से भाई बहन की औलादें मुराद हैं उन की पोतियाँ नवासियाँ भी उसी में शुमार हैं।
मसअ्ला :– ज़िना से बेटी,पोती,बहन, भानजी भी महरमात में हैं।
मसअ्ला :– जिस औरत से उस के शौहर ने लिआन किया अगर्चे उसकी लड़की अपनी माँ की तरफ़ मन्सूब होगई मगर फिर भी उस शख़्स पर वह लड़की हराम है (रद्दुल मुहतार)
क़िस्मे दोम :– **मुसाहिरत** (1)ज़ौजा मोतूहा (वह बीवी जिस से मियाँ बीवी के सम्बन्ध स्थापित हुए हों) की लड़कियाँ (2) ज़ौजा की माँ दादियाँ नानियाँ (3) बाप दादा वग़ैराहुमा उसूल की बीवियाँ (4) बेटे पोते वग़ैराहुमा फ़ुरूअ् की बीवियाँ
मसअ्ला :– जिस औरत से निकाह किया और वती(सम्भोग) न की थी कि जुदाई होगई उस की लड़की उस पर हराम नहीं नीज़ हुरमत उस सूरत में है कि वह औरत मुश्तहात हो उस लड़की का उस की परवरिश में होना ज़रूरी नहीं और ख़लवते सहीहा भी वती ही के हुक्म में है यअ्नी अगर ख़लवते सहीहा औरत के साथ हो गई उसकी लड़की हराम होगई अगर्चे वती न की हो (रद्दुल मुहतार)
मसअ्ला :– निकाहे फ़ासिद से हुरमते मुसाहिरत साबित नहीं होती जब तक वती न हो लिहाज़ा अगर किसी औरत से निकाहे फ़ासिद किया तो औरत की माँ उसपर हराम नहीं और जब वती हुई तो हुरमत साबित होगई कि वती से मुतलक़न हुरमत साबित हो जाती है ख़्वाह वती हलाल हो या शुबह व ज़िना से मसलन बैअ् फ़ासिद से ख़रीदी हुई कनीज़ से या कनीज़ मुश्तरक या मुकातिबा या जिस औरत से ज़िहार किया या मजूसिया बाँदी या अपनी ज़ौजा से हैज़ व निफ़ास में एहराम व रोज़ा में ग़र्ज़ किसी तौर पर वती हो हुरमते मुसाहिरत साबित होगई लिहाज़ा जिस औरत से ज़िना किया उस की माँ और लड़कियाँ उस पर हराम यूँ ही वह औरत ज़ानिया उस शख़्स के बाप दादा और बेटों पर हराम हो जाती है। (आलमगीरी स 274 रद्दुल मुहतार 304)
मसअला :– हुरमते मुसाहिरत जिस तरह वती से होती है यूँही ब–शहवत छूने और बोसा लेने और फ़र्जे दाख़िल(शर्म गाह) की तरफ़ नज़र करने और गले लगाने और दाँत से काटने और मुबाशरत यहाँ तक कि सर पर जो बाल हों उन्हें छूने से भी हुरमत हो जाती है अगर्चे कोई कपड़ा भी हाइल हो मगर जब इतना मोटा कपड़ा हाइल हो कि गर्मी महसूस न हो यूँहीं बोसा लेने में भी अगर बारीक निक़ाब हाइल हो तो हुरमत साबित हो जायेगी ख़्वाह यह बातें जाइज़ तौर पर हों मसलन मनकूहा या कनीज़ है या नाजाइज़ तौर पर जो बाल सर से लटक रहे हों उन्हें ब–शहवत छुआ तो हुरमत मुसाहिरत साबित न हुई (आलमगीरी स 274 रद्दुल मुहतार स 304 वग़ैराहुमा)
मसअ्ला :– फ़र्जे दाख़िल की तरफ़ नज़र करने की सूरत में अगर शीशा दरमियान में हो या औरत पानी में थी उस की नज़र वहाँ तक पहुँची जब भी हुरमत साबित होगई अल्बत्ता आईना या पानी में अक्स दिखाई दिया तो हुरमते मुसाहिरत नहीं। (दुर्रे मुख़्तार स 304 आलमगीरी स 274)
मसअ्ला :– छूने और नज़र के वक़्त शहवत न थी बाद को पैदा हुई यअ्नी जब हाथ लगाया उस वक़्त न थी हाथ जुदा करने के बाद हुई तो उस से हुरमत नहीं साबित होती उस मक़ाम पर शहवत के मअ्ना यह हैं कि उसकी वजह से इन्तिशारे आला हो जाये और अगर पहले से

इन्तिशार मौजूद था तो अब ज़्यादा हो जाये यह जवान के लिए है बूढ़े और औरत के लिए शहवत की हद यह है कि दिल में हरकत पैदा हो और पहले से हो तो ज़्यादा हो जाये महज़ मैलाने नफ़्स का नाम शहवत नहीं। (दुर्रे मुख़्तार स 304)

मसअ्ला :– नज़र और छूने में हुरमत जब साबित होगी कि इन्ज़ाल न हो और इन्ज़ाल होगया तो हुरमत मुसाहिरत न होगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औरत ने शहवत के साथ मर्द को छुआ या बोसा लिया या उस के आला की तरफ नज़र की तो उस से भी हुरमते मुसाहिरत साबित होगई (दुर्रे मुख़्तार 304 आलमगीरी 274)

मसअ्ला :– हुरमते मुसाहिरत के लिए शर्त यह है कि औरत मुश्तहात हो यअ्नी नौ बरस से कम उम्र की न हो नीज़ यह कि ज़िन्दा हो,तो अगर नौ बरस से कम उम्र की लड़की या मुर्दा औरत को ब–शहवत छुआ या बोसा लिया तो हुरमत साबित न हुई (दुर्रे मुख़्तार 350)

मसअ्ला :– औरत से जिमाअ् किया मगर दुख़ूल न हुआ तो हुरमत साबित न हुई हाँ अगर उस को हमल रह जाये तो हुरमते मुसाहिरत होगई (आलमगीरी स 274) बुढ़िया औरत के साथ यह अफ़आल वाक़ेअ् हुए या उस ने किये तो मुसाहिरत हो गई उस की लड़की उस शख़्स पर हराम होगई वह उस के बाप दादा पर भी हराम हो गई (दुर्रे मुख़्तार स 350)

मसअ्ला :– वती से मुसाहिरत में यह शर्त है कि आगे के मकाम में हो अगर पीछे में हुई मुसाहिरत न होगी। (दुर्रे मुख़्तार 305)

मसअ्ला :– अग़लाम से मुसाहिरत नहीं साबित होती (रद्दुलमुहतार स 360)

मसअ्ला :– मुराहिक़ (वह लड़का कि अभी बालिग़ न हुआ मगर उस के हम उम्र बालिग़ हो गये हों उसकी मिक़दार बारह बरस की उम्र है) ने अगर वती की या शहवत के साथ छुआ या बोसा लिया तो मुसाहिरत हो गई। (रद्दुल मुह्तार 306)

मसअ्ला :– यह अफ़आल क़स्दन हों या भूल कर या ग़लती से या मजबूरन बहर हाल मुसाहिरत साबित होजायेगी मसलन अँधेरी रात में मर्द ने अपनी औरत को जिमाअ् के लिए उठाना चाहा ग़लती से शहवत के साथ मुश्तहात लड़की पर हाथ पड़ गया उस की माँ हमेशा के लिए उस पर हराम हो गई यूँही अगर औरत ने शौहर को उठाना चाहा और शहवत के साथ हाथ लड़के पर पड़ गया जो मुराहिक़ था हमेशा को अपने उस शौहर पर हराम होगई (दुर्रे मुख़्तार 306)

मसअ्ला :– मुँह का बोसा लिया तो मुतलक़न हुरमते मुसाहिरत साबित हो जायेगी अगर्चे कहता हो कि शहवत से न था यूँही अगर इन्तिशार आला था तो मुतलक़न किसी जगह का बोसा लिया हुरमत हो जायेगी और अगर इन्तिशार न था और रुख़सार या ठोड़ी या पेशानी या मुँह के अ़लावा किसी और जगह का बोसा लिया और कहता है कि शहवत न थी तो उस का क़ौल मान लिया जायेगा यूँही इन्तिशार की हालत में गले लगाना भी हुरमत साबित करता है अगर्चे शहवत का इन्कार करे (रद्दुल मुहतार 306)

मसअ्ला :– चुटकी लेने दाँत काटने का भी यही हुक्म है कि शहवत से हो तो हुरमत साबित हो जायेगी औरत की शर्मगाह को छुआ या पिस्तान को और कहता है कि शहवत न थी तो उस का क़ौल मोअ्तबर नहीं। (आलमगीरी, 274 दुर्रे मुख़्तार 307)

मसअ्ला :– नज़र से हुरमत साबित होने के लिये नज़र करने वाले में शहवत पाई जाना ज़रूर है और बोसा लेने, गले लगाने, छूने वग़ैरा में उन दोनों में से एक को शहवत हो जाना काफ़ी है अगर्चे दूसरे को न हो (दुर्रे मुख़्तार स 307 रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मजनून और नशा वाले से यह अफ़आल हुए या उन के साथ किये गये जब भी वही हुक्म है कि और शर्तें पाई जायें तो हुरमत होजायेगी (दुर्रे मुख़्तार स 307)

मसअ्ला :– किसी से पूछा गया तूने अपनी सास के साथ क्या किया उस ने कहा जिमाअ् किया हुरमते मुसाहिरत साबित होगई अब अगर कहे मैंने झूट कह दिया था नहीं माना जायेगा बल्कि अगर्चे मज़ाक़ में कह दिया हो जब भी यही हुक्म है (आलमगीरी, वग़ैरा)

मसअ्ला :– हुरमते मुसाहिरत मसलन शहवत से बोसा लेने या छूने या नज़र करने का इक़रार किया तो हुरमत साबित होगई और अगर यह कहे कि उस औरत के साथ मैंने निकाह से पहले उसकी माँ से जिमाअ् किया था जब भी यही हुक्म रहेगा मगर औरत का महर उस से बातिल न होगा वह बदस्तूर वाजिब (रद्दुल मुहतार 308)

मसअ्ला :– किसी ने एक औरत से निकाह किया और उस के लड़के ने औरत की लड़की से किया जो दूसरे शौहर से है तो हर्ज नहीं यूँही अगर लड़के ने औरत की माँ से निकाह किया जब भी यही हुक्म है (आलमगीरी स 277)

मसअ्ला :– औरत ने दअ्वा किया कि मर्द ने उस के उसूल या फ़ुरूअ् को ब–शहवत छुआ या बोसा लिया या कोई और बात की है जिस से हुरमत साबित होती है और मर्द ने इन्कार किया तो क़ौल मर्द का लिया जायेगा यअ्नी जबकि औरत गवाह न पेश कर सके (दुर्रे मुख़्तार 307)

क़िस्मे सोम :– जमअ् बैनल महारिम

मसअ्ला :– वह दो औरतें कि उन में जिस एक को मर्द फ़र्ज़ करें दूसरी उस के लिए हराम हो मसलन दो बहनें कि एक को मर्द फ़र्ज़ करो तो भाई बहन का रिश्ता हुआ या फूफ़ी भतीजी कि फूफ़ी को मर्द फ़र्ज़ करो तो चचा भतीजी का रिश्ता हुआ और भतीजी को मर्द फ़र्ज़ करो तो फूफ़ी भतीजे का रिश्ता हुआ या ख़ाला भानजी कि ख़ाला को मर्द फ़र्ज़ करो तो मामू भानजी का रिश्ता हुआ और भानजी को मर्द फ़र्ज़ करो तो भानजे ख़ाला का रिश्ता हुआ)ऐसी दो औरतों को निकाह में जमअ् नहीं कर सकता बल्कि अगर तलाक़ दे दी हो अगर्चे तीन तलाक़ें तो जब तक इद्दत न गुज़र ले दूसरी से निकाह नहीं कर सकता बल्कि अगर एक बाँदी है और उस से वती की तो दूसरी से निकाह नहीं कर सकता यूँही अगर दोनों बाँदी हैं और उस से वती कर ली तो दूसरी से वती नहीं कर सकता (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– ऐसी दो औरतें जिन में उस क़िस्म का रिश्ता हो जो ऊपर मज़कूर हुआ वह नसब के साथ मख़सूस नहीं बल्कि दूध के ऐसे रिश्ते हों जब भी दोनों का जमअ् करना हराम है मसलन औरत और उसकी रज़ाई बहन या ख़ाला या फूफ़ी (आलमगीरी स 277)

मसअ्ला :– दो औरतों में अगर ऐसा रिश्ता पाया जाये कि एक को मर्द फ़र्ज़ करें तो दूसरी उस के लिए हराम हो और दूसरी को मर्द फ़र्ज़ करें तो पहली हराम न हो तो दो औरतों के जमअ् करने में हरज नहीं मसलन औरत और उस के शौहर की लड़की कि उस लड़की को मर्द फ़र्ज़ करें तो वह

औरत उस पर हराम होगी कि उस की सौतेली माँ हुई और औरत को मर्द फ़र्ज़ करें तो लड़की से कोई रिश्ता पैदा न होगा यूँही औरत और उस की बहू (दुर्रे मुख़्तार 308,309)

मसअ्ला :– बाँदी से वती की फिर उसकी बहन से निकाह किया तो यह निकाह सहीह हो गया मगर अब दोनों में से किसी से वती नहीं कर सकता जब तक एक को अपने ऊपर किसी ज़रीआ से हराम न कर ले मसलन मन्कूहा को तलाक़ देदे या वह ख़ुलअ् कराले और दोनों सूरतों में इद्दत गुज़र जाये या बाँदी को बेच डाले या आज़ाद कर दे ख़्वाह पूरी बेची या आज़ाद की या उस का कोई हिस्सा निस्फ़ वग़ैरा या उस को हिबा कर दे और क़ब्ज़ा भी दिलादे या उसे मकातिब करदे या उस का किसी से निकाहे सहीह कर दे और अगर निकाहे फ़ासिद कर दिया तो उसकी बहन यअ्नी मनकूहा से वती नहीं हो सकती मगर जब कि निकाहे फ़ासिद में उस के शौहर ने वती भी करली तो चूँकि अब उस की इद्दत वाजिब होगी लिहाज़ा मालिक के लिए हराम होगई और मनकूहा से वती जाइज़ होगई और बैअ् वग़ैरा की सूरत में अगर वह फिर उस की मिल्क में वापस आई। मसलन बैअ् फ़स्ख़ हो गई या उस ने फिर ख़रीदली तो अब फिर बदस्तूर दोनों से वती हराम हो जायेगी जब तक फिर सबबे हुरमत न पाया जाये। बाँदी के एहराम व रोज़ा व हैज़ व निफ़ास व रहन व इजारा से मनकूहा हलाल न होगी और अगर बाँदी से वती न की हो तो उस मनकूहा से मुतलक़न वती जाइज़ है (दुर्रे मुख़्तार 309 रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मुकद्दमाते वती मसलन शहवत कि साथ बोसा लिया या छुआ या उस बाँदी ने अपने मौला को शहवत के साथ छुआ या बोसा लिया तो यह भी वती के हुक्म में हैं कि इन अफ़आल के बाद अगर उस की बहन से निकाह किया तो किसी से जिमाअ् जाइज़ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार 310)

मसअ्ला :– ऐसी दो औरतें जिन को जमा करना हराम है अगर दोनों से एक अक़्द के साथ निकाह किया तो किसी से निकाह न हुआ फ़र्ज़ है कि दोनों को फ़ौरन जुदा कर दे और दुख़ूल न हुआ तो महर भी वाजिब न हुआ और दुख़ूल हुआ हो तो मिस्ल और बँधे हुए महर में जो कम हो वह दिया जाये अगर दोनों कि साथ दुख़ूल किया तो दोनों को दिया जाये और एक के साथ किया तो एक को (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार 310)

मसअ्ला :– अगर दोनों से दो अक़्द के साथ किया तो पहली से निकाह हुआ और दूसरी का निकाह बातिल लिहाज़ा पहली से वती जाइज़ है मगर जबकि दूसरी से वती करली तो अब जब तक उस की इद्दत न गुज़र जाये पहली से भी वती हराम है। फिर उस सूरत में अगर यह याद न रहा कि पहले किस से हुआ तो शौहर पर फ़र्ज़ है कि दोनें को जुदा करदे और अगर वह ख़ुद जुदा न करे तो क़ाज़ी पर फ़र्ज़ है कि तफ़रीक़ कर दे और यह तफ़रीक़ तलाक़ शुमार की जायेगी फिर अगर दुख़ूल से पेशतर तफ़रीक़ हुई तो निस्फ़ महर में दोनों बराबर बाँट ले अगर दोनों का बराबर मुक़र्रर हो और अगर दोनों के महर बराबर न हों और मालूम है कि फुलानी का इतना था और फुलानी का उतना तो हर एक को उस के महर की चौथाई मिलेगी और अगर यह मालूम है कि एक का इतना है और एक का उतना मगर यह मालूम नहीं कि किस का इतना है किस का उतना तो जो कम है उस के निस्फ़ में दोनों बराबर तक़सीम कर लें और अगर महर मुक़र्रर ही न हुआ था तो एक मुतअ्(मुतअ् के मअ्ना महर के बयान में आयेंगे)वाजिब होगा जिस में दोनों बाँट लें और

अगर दुख़ूल के बाद तफ़रीक़ हुई तो एक एक को उस का पूरा महर वाजिब होगा यूँही अगर एक से दुख़ूल हुआ तो उस का पूरा महर वाजिब होगा और दूसरी को चौथाई (दुर्रे मुख़्तार स 310 रद्दुल मुहतार 311)

मसअ्ला :– ऐसी दो औरतों से एक अ़क़्द के साथ निकाह किया था फिर दुख़ूल से क़ब्ल तफ़रीक़ हो गई अब अगर उन में से एक के साथ निकाह करना चाहा तो कर सकता है और दुख़ूल के बाद तफ़रीक़ हुई तो जब तक इद्दत न गुज़र जाये निकाह नहीं कर सकता और अगर एक की इद्दत पूरी हो चुकी दूसरी की नहीं तो दूसरी से कर सकता है और पहली से नहीं कर सकता जब तक दूसरी की इद्दत न गुज़र ले और अगर एक से दुख़ूल किया है तो उस से निकाह कर सकता है और दूसरी से निकाह नहीं कर सकता जबतक मदख़ूला की इद्दत न गुज़र ले और उस की इद्दत गुज़रने के बाद जिस एक से चाहे निकाह करे (आलमगीरी 278)

मसअ्ला :– ऐसी दो औरतों ने किसी शख़्स से एक साथ कहा कि मैं ने तुझ से निकाह किया उस ने एक का निकाह क़बूल किया तो उस का निकाह हो गया और अगर मर्द ने ऐसी दो औरतों से कहा कि मैं ने तुम दोनों से निकाह किया और एक ने क़बूल किया दूसरी ने इन्कार किया तो जिस ने क़बूल किया उस का निकाह भी न हुआ (आलमगीरी 278)

मसअ्ला :– ऐसी दो औरतों से निकाह किया और उन में एक इद्दत में भी थी तो जो ख़ाली है उस का निकाह सहीह हो गया और अगर वह उसी की इद्दत में थी तो दूसरी से भी सहीह न हुआ। (आलमगीरी 278)

चौथी क़िस्मे :– हुरमत बिल मिल्क

मसअ्ला :– औरत अपने ग़ुलाम से निकाह नहीं कर सकती ख़्वाह वह तन्हा उसी की मिल्क में हो या कोई और भी उस में शरीक हो (आलमगीरी, 282 दुर्रे मुख़्तार 313)

मसअ्ला :– मौला अपनी बाँदी से निकाह नहीं कर सकता अगर्चे वह उम्मे वलद या मकातिबा या मुदब्बरा हो या उस में कोई दूसरा भी शरीक हो मगर बनज़रे एहतियात मुतअख़्ख़िरीन ने बाँदी से निकाह करना मुस्तहसन (बेहतर) बताया है (आलमगीरी 282) मगर यह निकाह सिर्फ़ बरबिनाए एहतियात है कि अगर वाक़ेअ् में कनीज़ नहीं जब भी जिमाअ् जाइज़ है लिहाज़ा समराते निकाह इस निकाह पर मुरत्तब नहीं न महर वाजिब होगा न तलाक़ हो सकेगी न दीगर अहकामे निकाह जारी होंगे।

मसअ्ला :– अगर ज़न व शौहर में से एक दूसरे का या उस के किसी जुज़ का मालिक हो गया तो निकाह बातिल हो जायेगा (आलमगीरी 282)

मसअ्ला :– माज़ून या मुदब्बर या मुकातिब ने अपनी ज़ौजा को ख़रीदा तो निकाह फ़ासिद न हुआ यूहीं अगर किसी ने अपनी ज़ौजा को ख़रीदा और बैअ् में इख़्तियार रखा कि अगर चाहेगा तो वापस करदेगा तो निकाह फ़ासिद न होगा यूँही जिस ग़ुलाम का कुछ हिस्सा आज़ाद हो चुका है वह अगर अपनी मन्कूहा को ख़रीदे तो निकाह फ़ासिद न हुआ। (आलमगीरी, रद्दुल मुहतार 313)

मसअ्ला :– मकातिब या माज़ून की कनीज़ से मौला निकाह नहीं कर सकता (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मकातिब ने अपनी मालिका से निकाह किया फिर आज़ाद हो गया तो वह निकाह अब भी सहीह न हुआ हाँ अगर अब जदीद निकाह करे तो कर सकता है (आलमगीरी 283)

मसअ्ला :– ग़ुलाम ने अपने मौला की लड़की से उस की इजाज़त से निकाह किया तो निकाह

सहीह हो गया मगर मौला के मरने से यह निकाह जाता रहेगा और अगर मकातिब ने मौला की लड़की से निकाह किया था तो मौला के मरने से फ़ासिद न होगा अगर बदले किताबत अदा कर देगा तो निकाह बर क़रार रहेगा और अगर अदा न कर सका और फिर ग़ुलाम होगया तो अब निकाह फ़ासिद होगया। (आलमगीरी283)

पाँचवीं क़िस्म :– हुरमत बिश्शिर्क

मसअ्ला :– मुसलमान का निकाह मजूसिया ,बुत परस्त ,आफ़ताब परस्त सितारा परस्त औ़रत से नहीं हो सकता ख़्वाह यह औ़रतें हुर्रा हों या बाँदियाँ ग़र्ज़ किताबिया के सिवा किसी काफ़िरा औ़रत से निकाह नहीं हो सकता (फ़तह,136 वग़ैरा दुर 313)

मसअ्ला :– मुरतद व मुरतद्दा का निकाह किसी से नहीं हो सकता अगर्चे मर्द व औ़रत दोनों एक ही मज़हब के हों (खानिया वग़ैरहा)

मसअ्ला :– यहूदिया और नस्रानिया से मुसलमान का निकाह हो सकता है मगर चाहिए नहीं कि उस में बहुत से मफ़ासिद का दरवाज़ा खुलता है (आ़लमगीरी स 287 वग़ैरा) मगर यह जवाज़ उसी वक़्त तक है जबतक अपने उसी मज़हब यहूदियत या नस्रानियत पर हों और अगर सिर्फ़ नाम की यहूदी नसरानी हों और हक़ीक़तन नेचरी और दहरिया मज़हब रखती हों जैसे आज कल के उ़मूमन नसारा का कोई मज़हब ही नहीं तो उन से निकाह नहीं हो सकता न उन का ज़बीहा जाइज़ बल्कि उन के यहाँ तो ज़बीहा होता भी नहीं।

मसअ्ला :– किताबिया से निकाह किया तो उसे गिरजा (चर्च) जाने और घर में शराब बनाने से रोक सकता है (आलमगीरी 281)

मसअ्ला :– किताबिया से दारुल हर्ब में निकाह कर के दारुलइस्लाम में लाया तो निकाह बाक़ी रहेगा और खुद चला आया उसे वहीं छोड़ दिया तो निकाह टूटगया (आलमगीरी स 281)

मसअ्ला :– मुसलमान ने किताबिया से निकाह किया था फिर वह मजूसिया होगई तो निकाह फस्ख़ हो गया और मर्द पर हराम हो गई और अगर यूहदिया थी अब नसरानिया होगई या नसरानिया थी यहूदिया होगई तो निकाह बातिल न हुआ (आलमगीरी स 281)

मसअ्ला :– किताबी मर्द का निकाह मुरतद्दा के सिवा हर काफ़िरा से हो सकता है और औलाद किताबी के हुक्म में है मुसलमान किताबिया से औलाद हुई तो औलाद मुसलमान कहलायेगी (आलमीगरी 281)

मसअ्ला :– मर्द व औ़रत काफ़िर थे दोनों मुसलमान हुए तो वही निकाहे साबिक़ (पहला)बाक़ी है जदीद निकाह की हाजत नहीं और अगर सिर्फ़ मर्द मुसलमान हुआ तो औ़रत पर इस्लाम पेश करें अगर मुसलमान हो गई तो ठीक वरना तफ़रीक़ (जुदाई) कर दें यूँही अगर औ़रत पहले मुसलमान हुई तो मर्द पर इस्लाम पेश करें अगर तीन हैज़ आने से पहले मुसलमान हो गया तो निकाह बाक़ी है वरना बाद को जिस से चाहे निकाह कर ले कोई उसे मनअ् नहीं कर सकता (आलमगीरी स 279)

मसअ्ला :– मुसलमान औ़रत का निकाह मुसलमान मर्द के सिवा किसी मज़हब वाले से नहीं हो सकता और मुसलमान के निकाह में किताबिया है उस के बाद मुसलमान औ़रत से निकाह किया या मुसलमान औ़रत निकाह में थी उस के होते हुए किताबिया से निकाह सहीह है (आलमीगरी 282)

छटी क़िस्म :– हुर्रा निकाह में होते हुए बाँदी से निकाह करना

मसअ्ला :– आज़ाद औरत निकाह में है और बाँदी से निकाह किया सहीह न हुआ यूँही एक अक़्द में दोनों से निकाह किया हुर्रा का सहीह हुआ बाँदी से न हुआ (आलमगीरी स 279)

एक अक़्द में आज़ाद औरत और बाँदी से निकाह किया और किसी वजह से आज़ाद औरत का निकाह सहीह न हुआ तो बाँदी से निकाह हो जायेगा (आलमगीरी 279)

मसअ्ला :– पहले बाँदी से किया फिर आज़ाद से तो दोनों निकाह हो गये और अगर बाँदी से बिला इजाज़त मालिक निकाह किया और दुख़ूल न किया था फिर आज़ाद औरत से निकाह किया अब उसके मालिक ने इजाज़त दी तो निकाह सहीह न हुआ यूँही अगर ग़ुलाम ने बग़ैर इजाज़त मौला हुर्रा से निकाह किया और दुख़ूल किया फिर बाँदी से निकाह किया अब मौला ने दोनों निकाह की इजाज़त दी तो बाँदी से निकाह न हुआ (आलमगीरी रद्दुल, मुहतार 316)

मसअ्ला :– आज़ाद औरत को तलाक़ देदी तो जब तक वह इद्दत में है बाँदी से निकाह नहीं कर सकता अगर्चे तीन तलाक़ें दे दी हों (आलमगीरी स 297)

मसअ्ला :– अगर हुर्रा निकाह में न हो तो बाँदी से निकाह जाइज़ है अगर्चे इतनी इस्तिताअ़ात है कि आज़ाद औरत से निकाह कर ले (दुर्रे मुख़्तार 316 वग़ैरा)

मसअ्ला :– बाँदी निकाह में थी उसे तलाक़े रजई देकर आज़ाद से निकाह किया फिर रजअ़त करली तो वह बाँदी बदस्तूर ज़ौजा होगई (दुर्रे मुख़्तार 319)

मसअ्ला :– अगर चार बाँदियों और पाँच आज़ाद औरतों से एक अक़्द में निकाह किया तो बाँदियों का होगया और आज़ाद औरतों का न हुआ और दोनों चार चार थीं तो आज़ाद औरतों का हुआ बाँदियों का न हुआ। (दुर्रे मुख़्तार स 316)

सातवीं क़िस्म : – हुरमत ब वजह तअ़ल्लुक़े हक़्क़े ग़ैर

मसअ्ला :– दूसरे की मनकूहा से निकाह नहीं हो सकता बल्कि अगर दूसरे की इद्दत में हो जब भी नहीं हो सकता इद्दत तलाक़ की हो या मौत की या शुबहा निकाह या निकाहे फ़ासिद में दुख़ूल की वजह से (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– दूसरे की मनकूहा से निकाह किया और यह मालूम न था कि मनकूहा है तो इद्दत वाजिब है और मालूम था तो इद्दत वाजिब नहीं (आलमगीरी 280)

मसअ्ला :– जिस औरत को ज़िना का हमल है उस से निकाह हो सकता है फिर अगर उसी का हमल है तो वती भी कर सकता है और अगर दूसरे का है तो जब तक बच्चा न पैदा हो वती जाइज़ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार 319)

मसअ्ला :– जिस औरत का हमल साबितुन्नसब है उस से निकाह नहीं हो सकता (आलमगीरी स 280)

मसअ्ला :– किसी ने अपनी उम्मे वलद हामिला का निकाह दूसरे से कर दिया तो सहीह न हुआ और हमल न था तो सहीह हो गया (आलमगीरी स 280)

मसअ्ला :– जिस बाँदी से वती करता था उसका निकाह किसी से कर दिया निकाह हो गया मगर मालिक पर इस्तिबरा वाजिब है यअ्नी जब उसका निकाह करना चाहे तो वती छोड़ दे यहाँ तक कि उसे एक हैज़ आजाये बादे हैज़ निकाह कर दे और शौहर के ज़िम्मे इस्तिबरा नहीं लिहाज़ा अगर इस्तिबरा से पहले शौहर ने वती कर ली तो जाइज़ है मगर न चाहिए और

अगर मालिक बेचना चाहता है तो इस्तिबरा मुस्तहब है वाजिब नहीं जानिया से निकाह किया तो इस्तिबरा की हाजत नहीं। (दुर्रे मुख़्तार 317)

मसअ्ला :– बाप अपने बेटे की कनीज़े शरई से निकाह कर सकता है (आलमगीरी 281)

आठवीं क़िस्म :– हुरमते मुतअ़ल्लिक़ ब अ़दद

मसअ्ला :– आज़ाद शख़्स को एक वक़्त में चार औरतों और गुलाम को दो से ज़्यादा निकाह करने की इजाज़त नहीं और आज़ाद मर्द को कनीज़ का इख़्तियार है उस के लिए कोई हद नहीं (दुर्रे मुख़्तार 316)

मसअ्ला :– गुलाम को कनीज़ रखने की इजाज़त नहीं अगर्चे उसके मौला ने इजाज़त दे दी हो (दुर्रे मुख़्तार 316)

मसअ्ला :– पाँच औरतों से एक अ़क़्द के साथ निकाह किया किसी से निकाह न हुआ और अगर हर एक से अ़लाहिदा अ़लाहिदा अ़क़्द किया तो पाँचवें का निकाह बातिल है बाक़ियों का सहीह यूँही गुलाम ने तीन औरतों से निकाह किया तो उसमें भी वही दो सूरतें हैं (आलमगीरी स 277)

मसअ्ला :– काफिर हर्बी ने पाँच औरतों से निकाह किया फिर सब मुसलमान हुए अगर आगे पीछे निकाह हुआ तो चार पहली बाक़ी रखी जायें और पाँचवीं को जुदा कर दे और एक अ़क़्द था तो सब को अ़लाहिदा कर दे (आलमगीरी 277)

मसअ्ला :– दो औरतों से एक अ़क़्द में निकाह किया उन में एक ऐसी है जिस से निकाह नहीं हो सकता तो दूसरी का होगया और जो महर मज़कूर हुआ वह सब उसी को मिलेगा (दुर्रे मुख़्तार 381)

मसअ्ला :– मुतअ् (निकाह में वक़्त की क़ैद हो) हराम है यूँही अगर किसी ख़ास वक़्त तक के लिए निकाह किया तो यह निकाह भी न हुआ अगर्चे दो सौ बरस के लिए करे (दुर्रे मुख़्तार 318)

मसअ्ला :– किसी औरत से निकाह किया कि इतने दिनों के बाद तलाक़ दे देगा तो यह निकाह सहीह है या अपने ज़हिन में कोई मुद्दत ठहराली हो कि इतने दिनों के लिए निकाह करता हूँ मगर ज़ुबान से कुछ न कहा तो यह निकाह भी हो गया (दुर्रे मुख़्तार 318)

मसअ्ला :– हालते एहराम में निकाह कर सकता है मगर न चाहिए यूँही मुहरिम उस लड़की का भी निकाह कर सकता है जो उसकी विलायत में है (आलमगीरी 283)

नवीं क़िस्म :– रदाअ़त (दूध पिलाने का रिशता)उसका बयान मुफ़स्सल आयेगा

दूध के रिश्ते का बयान

मसअ्ला :– बच्चा को दो बरस तक दूध पिलाया जाये इस से ज़्यादा की इजाज़त नहीं दूध पीने वाला लड़का हो या लड़की और यह जो बाज़ अ़वाम में मशहूर है कि लड़की को दो बर्ष तक और लड़के को ढाई बर्ष तक पिला सकते हैं यह सहीह नहीं यह हुक्म दूध पिलाने का है और निकाह हराम होने के लिए ढाई बर्ष का ज़माना है यअ़नी दो बर्ष के बाद अगर्चे दूध पिलाना हराम है मगर ढाई बर्ष के अन्दर अगर दूध पिलादेगी हुरमते निकाह साबित हो जायेगी और उस के बाद पिया तो हुरमते निकाह नहीं अगर्चे पिलाना जाइज़ नहीं।

मसअ्ला :– मुद्दत पूरी होने के बाद बतौर इलाज़ भी दूध पीना या पिलाना जाइज़ नहीं।(दुर्रे मुख़्तार 338)

मसअ्ला :– रज़ाअ़त (यअ़नी दूध का रिश्ता) औरत का दूध पीने से साबित होता है मर्द या जानवर का दूध पीने से साबित नहीं और दूध पीने से मुराद यही मअ़रूफ तरीक़ा नहीं बल्कि अगर हल्क़ या

नाक में टपकाया गया जब भी यही हुक्म हैं और थोड़ा पिया या ज़्यादा बहर हाल हुरमत साबित होगी जबकि अन्दर पहुँच जाना मालूम हुआ और अगर छाती मुँह में ली मगर यह नहीं मालूम कि दूध पिया तो हुरमत साबित नहीं। (हिदाया जौहरा वग़ैरा हुमा)

मसअ्ला :– औरत का दूध अगर हुक्ना से अन्दर पहुँचाया गया या कान में टपकाया गया या पेशाब के मकाम से पहुँचाया गया या पेट या दिमाग़ में ज़ख्म था उस में डाला कि अन्दर पहुँच गया तो उन सूरतों में रदाअ् (दूध का रिश्ता) नहीं (जौहरा)

मसअ्ला :– कुंवारी या बुढ़िया का दूध पिया बल्कि मुर्दा औरत का दुध पिया जब भी रदाअत साबित है (दुर्रे मुख़्तार स 437)

मसअ्ला :– मगर नौ बरस से छोटी लड़की का दूध पिया तो रदाअ् नहीं। (जौहरा)

मसअ्ला :– औरत ने बच्चे के मुँह में छाती दी और यह बात लोगों को मालूम है मगर अब कहती है कि उस वक़्त मेरे दूध न था और किसी और ज़रीआ से भी मालूम नहीं हो सकता कि दूध था या नहीं तो उस का कहना मान लिया जायेगा (रद्दुल मुह्तार 438)

मसअ्ला :– बच्चा को दूध पीना छुड़ा दिया गया है मगर उस को किसी औरत ने दूध पिलादिया अगर ढाई बरस के अन्दर है तो रदाअ्(दुध का रिश्ता) साबित वरना नहीं (आलमगीरी 342)

मसअ्ला :– औरत को तलाक़ देदी उस ने अपने बच्चा को दो बरस के बाद तक दूध पिलाया तो दो बरस के बाद की उजरत का मुतालबा नहीं कर सकती यअ्नी लड़के का बाप उजरत देने पर मजबूर नहीं किया जायेगा और दो बरस तक की उजरत उस से जबरन ली जा सकती है(आलमगीरी स 343)

मसअ्ला :– दो बरस के अन्दर बच्चा का बाप उसकी माँ को दूध छुड़ाने पर मजबूर नहीं कर सकता और उस के बाद कर सकता है (रद्दुल मुह्तार स 338)

मसअ्ला :– औरतों को चाहिए कि बिला ज़रूरत हर बच्चा को दूध न पिला दिया करें और पिलायें तो खुद भी याद रखें और लोगों से यह बात कह भी दें औरत को बग़ैर इजाज़त शौहर किसी बच्चा को दूध पिलाना मकरूह है अल्बत्ता अगर उस के हलाक होने का अन्देशा है तो कराहत नहीं। (रद्दुल मुहतार 431) मगर मिआद के अन्दर रदाअत बहर सूरत साबित

मसअ्ला :– बच्चा ने जिस औरत का दूध पिया वह उस बच्चा की माँ होजायेगी और उस का शौहर जिस का यह दूध है यानी उस की वती से बच्चा पैदा हुआ जिस से औरत को दूध उतरा उस दूध पीने वाले बच्चा का बाप होजायेगा और उस औरत की तमाम औलादें उस के भाई बहन ख़्वाह उसी शौहर से हों या दूसरे शौहर से उस के दूध पीने से पहले की हैं या बाद की या साथ की और औरत के भाई मामू और उसकी बहन ख़ाला यूँही उस शौहर की औलादें उसके भाई बहन और उसके भाई उसके चचा और उस की बहनें उस की फूफियाँ ख़्वाह शौहर की यह औलादें उसी औरत से हों या दूसरी से यूँही हर एक के बाप माँ के दादा दादी, नाना नानी (आलमगीरी 343)

मसअ्ला :– मर्द ने औरत से जिमाअ् किया और औलाद नहीं हुई मगर दूध उतर आया तो जो बच्चा यह दूध पियेगा औरत उसकी माँ होजायेगी मगर शौहर उसका बाप नहीं लिहाज़ा शौहर की औलाद जो दूसरी बीवी से है उस से उस का निकाह हो सकता है (जौहरा)

मसअ्ला :– पहले शौहर से औरत की औलाद हुई और दूध मौजूद था कि दूसरे से निकाह हुआ

और किसी बच्चा ने दूध पिया तो पहला शौहर उस का बाप होगा दूसरा नहीं और जब दूसरे शौहर से औलाद होगई तो अब पहले शौहर का दूध नहीं बलकि दूसरे का है और जब तक दूसरे से औलाद न हुई अगर्चे हमल हो पहले ही शौहर का दूध है दूसरे का नहीं (जौहरा)

मसअ्ला :– मौला ने कनीज़ से वती की और औलाद पैदा हुई तो जो बच्चा उस कनीज़ का दूध पियेगा यह उस की माँ होगी और मौला उस का बाप (दुर्रे मुख़्तार 442)

मसअ्ला :– जो नसब में हराम है रदाअ् (दूध का रिश्ता) में भी हराम, मगर भाई या बहन की माँ कि यह नसब में हराम है कि उस की माँ होगी या बाप की मोतुआ (जिस से वती की गई) और दोनों हराम और रदाअ् में हुरमत की कोई वजह नहीं लिहाज़ा हराम नहीं और उस की तीन सूरतें हैं रज़ाई भाई की रज़ाई माँ या रज़ाई भाई की हक़ीक़ी माँ या हक़ीक़ी भाई की रज़ाई माँ यूहीं बेटे या बेटी की बहन या दादी कि नसब में पहली सूरत में बेटी होगी या रबीबा और दूसरी सूरत में माँ होगी या बाप की मोतूहा यूँही चचा या फूफी की माँ या मामू या खाला की माँ कि नसब में दादी नानी होगी और रज़ाअ़ में हराम नहीं। और इन में भी वही तीन सूरतें हैं (आलमगीरी 343 दुर्रे मुख़्तार 343)

मसअ्ला :– हक़ीक़ी भाई की रज़ाई बहन या रज़ाई भाई की हक़ीक़ी बहन या रज़ाई भाई की रज़ाई बहन से निकाह जाइज़ है भाई की बहन से नसब में भी एक सूरत जवाज़ की है यानी सौतेले भाई की बहन जो दूसरे बाप से हो। (दुर्रे मुख़्तार 442)

मसअ्ला :– एक औरत का दो बच्चों ने दूध पिया और उन में एक लड़का एक लड़की है तो यह भाई बहन हैं और निकाह हराम अगर्चे दोनों ने एक वक़्त में न पिया हो बल्कि दोनों में बरसों का फ़ासिला हो अगर्चे एक के वक़्त में एक शौहर का दूध था और दूसरे के वक़्त में दूसरे का। (दुर्रे मुख़्तार 443)

मसअ्ला :– दूध पीने वाली लड़की का निकाह पिलाने वाली के बेटों पोतों से नहीं हो सकता कि यह उन की बहन या फूफी है (दुर्रे मुख़्तार 443)

मसअ्ला :– जिस औरत से ज़िना किया और बच्चा पैदा हुआ उस औरत का दूध जिस लड़की ने पिया वह ज़ानी पर हराम हैं (जौहरा)

मसअ्ला :– पानी या दवा में औरत का दूध मिला कर पिया तो अगर दूध ग़ालिब है या बराबर तो रज़ाअ् है मग़लूब है तो नहीं यूँही अगर बकरी वग़ैरा किसी जानवर के दूध में मिला कर दिया तो अगर जानवर का दूध ग़ालिब है तो रज़ाअ़ नहीं वरना है और दो औरतों का दूध मिलाकर पिलाया तो जिस का ज़्यादा है उस से रज़ाअ् साबित है और दोनों बराबर हों तो दोनों से और एक रिवायत यह है कि बहर हाल दोनों से रज़ाअ़त साबित है (जौहरा 443)

मसअ्ला :– ख़ाने में औरत का दूध मिला कर दिया अगर वह पतली चीज़ पीने के क़ाबिल है और दूध ग़ालिब या बराबर है तो रदाअ् साबित वरना नहीं और अगर पतली चीज़ नहीं है तो मुतलकन साबित नहीं (रद्दुल मुहतार 444)

मसअ्ला :– दूध का पनीर या खोया बना कर बच्चा को खिलाया तो रज़ाअ् नहीं (दुर्रे मुख़्तार 444)

मसअ्ला :– खुन्सा मुशकिल को दूध उतरा उस ने बच्चा को पिलाया तो अगर उस का औरत होना मालूम हुआ तो रज़ाअ् है और मर्द होना मालूम हुआ तो नहीं और कुछ मालूम न हुआ अगर औरतें कहें उस का दूध मिस्ल औरत के दूध के है तो रज़ाअ् है वरना नहीं।

मसअ्ला :– किसी की दो औरतें हैं बड़ी ने छोटी को जो शीर ख़्वार है दूध पिलादिया तो दोनों उस पर हमेशा को हराम होगईं बशर्ते कि बड़ी के साथ वती कर चुका हो और वती न की हो तो दो सूरतें हैं एक यह कि बड़ी को तलाक़ दे दी है और तलाक़ के बाद उस ने दूध पिलाया तो बड़ी हमेशा को हराम हुई और छोटी बदस्तूर निकाह में है दोम यह कि तलाक़ नहीं दी है और दूध पिला दिया तो दोनों का निकाह फ़स्ख़ हो गया मगर छोटी से दोबारा निकाह कर सकता है और बड़ी से वती की हो तो पूरा महर पायेगी और वती न की हो तो कुछ न मिलेगा मगर जबकि दूध पिलाने पर मजबूर की गई या सोती थी सोते में छोटी ने दूध पी लिया या मजनूना थी हालते जुनून में दूध पिलादिया उस का दूध किसी और ने छोटी के हल्क़ में टपका दिया तो इन सूरतों में निस्फ़ महर बड़ी पायेगी और छोटी का निस्फ़ महर मिलेगा फिर अगर बड़ी ने निकाह फ़स्ख़ करने के इरादे से पिलाया तो शौहर यह निस्फ़ महर कि छोटी को देगा बड़ी से वुसूल कर सकता है यूँही उस से वुसूल कर सकता है जिस ने छोटी के हल्क़ में दूध टपका दिया बल्कि उस से तो छोटी बड़ी दोनों का निस्फ़ निस्फ़ महर वसूल कर सकता है जबकि उस का मक़सद निकाह फ़ासिद कर देना हो और अगर निकाह फ़ासिद करना मक़सूद न हो तो किसी सूरत में किसी से नहीं ले सकता और अगर यह ख़्याल कर के दूध पिलाया है कि भूकी है हलाक हो जायेगी तो इस सूरत में भी रुजूअ् नहीं औरत कहती है कि फ़ासिद करने के इरादा से नहीं पिलाया था तो हल्फ़ के साथ उस का क़ौल मान लिया जाये (जौहरा दुर्रे मुख़्तार स 444 रद्दुल मुहतार स 445)

मसअ्ला :– बड़ी ने छोटी को भूकी जान कर दूध पिला दिया बाद को मालूम हुआ कि भूकी न थी तो यह न कहा जायेगा कि फ़ासिद करने के इरादे से पिलाया (जौहरा)

मसअ्ला :– रज़ाअ् के सुबूत के लिए दो मर्द या एक मर्द, और दो औरतें आदिल गवाह हों अगर्चे वह औरत खुद दूध पिलाने वाली हो फ़क़त औरतों की शहादत से सुबूत न होगा मगर बेहतर है कि औरतों के कहने से भी जुदाई कर ले। (जौहरा 448)

मसअ्ला :– रज़ाअ् के सुबूत के लिए औरत के दअ्वा करने की कुछ ज़रूरत नहीं मगर तफ़रीक़ क़ाज़ी के हुक्म से होगी या मुतारका से मदख़ूला में कहने की ज़रूरत है मसलन यह कहे कि मैं ने तुझे जुदा किया या छोड़ा और ग़ैर मदख़ूला में महज़ उस से अलाहिदा हो जाना काफ़ी है(रद्दुल मुहतार 448)

मसअ्ला :– किसी औरत से निकाह किया और एक औरत ने आकर कहा मैं ने तुम दोनों को दूध पिलाया है अगर शौहर या दोनों उस के कहने को सच समझते हों तो फ़ासिद है और वती न की हो तो महर कुछ नहीं और अगर दोनों उस की बात झूटी समझते हों तो बेहतर जुदाई है अगर वह औरत आदिला है फिर अगर वती न हुई हो तो मर्द को अफ़ज़ल यह है कि निस्फ़ महर दे और औरत को अफ़ज़ल यह है कि न ले और वती हुई हो तो अफ़ज़ल यह है कि पूरा महर दे और नान नफ़क़ा भी और औरत को अफ़ज़ल यह है कि महर मिस्ल और महर मुक़र्रर शुदा में जो कम है वह ले और अगर औरत को जुदा न करे जब भी हर्ज नहीं यूँही अगर ग़ैर आदिल या दो औरतों या एक मर्द और एक औरत ने शहादत दी तो उस में भी यही सूरतें हैं और अगर ज़ौजा ने उस ख़बर की तस्दीक़ की और शौहर ने तकज़ीब तो निकाह फ़ासिद नहीं मगर ज़ौजा शौहर से हल्फ़ ले सकती है अगर क़सम खाने से इन्कार करे तो तफ़रीक़ कर दीजायेगी। (आलमगीरी 347)

मसअ्ला :— औरत के पास दो आ़दिल ने शहादत दी और शौहर मुन्किर है मगर क़ाज़ी के पास शहादत नहीं गुज़री फिर यह गवाह मरगये या ग़ाइब हो गये तो औरत को उस के पास रहना जाइज़ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार 448)

मसअ्ला :— सिर्फ़ दो औरतों ने क़ाज़ी के पास रज़ाअ् की (दूध के रिश्ते)शहादत दी और क़ाज़ी ने तफ़रीक़ का हुक्म दे दिया तो यह हुक्म नाफ़िज़ न होगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— किसी औरत की निस्बत कहा कि यह मेरी दूध शरीक बहन है फिर उस इक़रार से फ़िर गया तो उस का कहना मान लिया जाये और अगर इक़रार के साथ यह भी कहा कि यह बात ठीक है सच्ची है सहीह है हक़ वही है जो मैं ने कहदिया तो अब इक़रार से फिर नहीं सकता और अगर उस औरत से निकाह कर चुका था अब उस क़िस्म का इक़रार करता है तो जुदाई कर दी जाये और अगर औरत इक़रार कर के फिर गई अगर्चे इक़रार पर इसरार किया और साबित रही हो तो उस का क़ौल भी मान लिया जाये दोनों इक़रार क़र के फिर गये जब भी यही अहकाम हैं(दुर्रे मुख़्तार 448)

मसअ्ला :— मर्द ने अपनी औरत की छाती चूसी तो निकाह में कोई नुक़सान न आया अगर्चे दूध मुँह में आगया बल्कि ह़ल्क़ से उतर गया (दुर्रे मुख़्तार 229)

वली का बयान

इमाम अहमद व मुस्लिम इब्ने अ़ब्बास रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया सय्यब(जिसकी पहले शादी हो चुकी हो) वली से ज़्यादा अपने नफ़्स की ह़क़दार है और बिक्र (कुंवारी) से इजाज़त ली जाये और चुप रहना भी उस का इज़्न है अबूदाऊद और उन्हीं से मरवी कि एक जवान लड़की रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुई और अ़र्ज़ की कि उस के बाप ने निकाह कर दिया और वह उस निकाह को नापसन्द करती है हुज़ूर ने उसे इख़्तियार दिया यअ्नी चाहे तो उस निकाह को जाइज़ कर दे या रद कर दे।

मसाइले फ़िक़्हिया

वली वह है जिस का क़ौल दूसरे पर नाफ़िज़ हो दूसरा चाहे या न चाहे वली का आ़क़िल बालिग़ होना शर्त है बच्चा और मजनून वली नहीं हो सकता मुसलमान के वली का मुसलमान होना भी शर्त है कि काफ़िर को मुसलमान पर कोई इख़्तियार नहीं मुत्तक़ी होना शर्त नहीं फ़ासिक़ भी वली हो सकता है विलायत के असबाब चार हैं। **1. क़राबत 2. मिल्क 3.विला 4. इमामत** (दुर्रे मुख़्तार 321)

मसअ्ला :— **क़राबत** की वजह से विलायत अ़स्बा बि—नफ़्सेही के लिए है यानी वह मर्द जिस को उस से क़राबत किसी औरत की वजह से न हो या यूँ समझो कि वह वारिस कि ज़विल फ़रुज़ के बाद जो कुछ बचे सब ले ले और अगर ज़विल फ़रुज़ न हों तो सारा माल यही ले ऐसी क़राबत वाला वली है और यहाँ भी वही तरतीब मलहूज़ है जो विरासत में मोअ्तबर है यानी सब में मुक़द्दम बेटा फिर पोता फिर पर पोता अगर्चे कई पुश्त का फ़ासिला हो यह न हों तो बाप फिर दादा फिर पर दादा वग़ैराहुम उसूल अगर्चे कई पुश्त ऊपर का हो फिर ह़क़ीक़ी भाई फिर सौतेला भाई फिर ह़क़ीक़ी भाई का बेटा फिर सोतेले भाई का बेटा फिर ह़क़ीक़ी चचा फिर सौतेले चचा फिर ह़क़ीक़ी चचा का बेटा फिर सोतेले चचा का बेटा फिर बाप का ह़क़ीक़ी चचा फिर सौतेला चचा फिर बाप के ह़क़ीक़ी चचा का बेटा फिर सौतेले चचा का बेटा फिर दादा का ह़क़ीक़ी चचा फिर सौतेला चचा

हमे बड़ी मुसर्रत हो रही है कि अल्लाह त'आला और उसके हबीब सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम के हुक्म फ़ज़्ल-ओ-करम से और बुज़ुर्गाने दीन सिलसिला-ए-क़ादिरिया बिलख़ुसूस पिराने पीर दस्तगीर हुज़ूर ग़ौस-ए-आज़म शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रादिअल्लाहु त'आला अन्हू के फ़ैज़ से क़िताब बहार-ए-शरीअत (हिस्सा 01 से 10) हिंदी में पीडीएफ [PDF] में आप की खिदमत में पेश की जा रही है।

ज़माना-ए- क़दीम से अवमुन्नास की इस्लाहे हाल और हिदायते उख़रवी व दुनयवी के लिए हक़ सदाक़त के जाम की फ़राहमी की जाती रही है और ये इलतेज़ाम ख़ालिक़-ए-क़ायनात जल्ला जलालहु ने ब अहसान अपनी मख़लूक़ के लिए फ़रमाया है। अम्बिया व मुर्सलीन के बेहतरीन दौर के बाद उसने यह ख़िदमत अपने मुक़र्रबीन रिज़वानुल्लाह त'आला अलैहिम अजमईन के सुपुर्द की और यह सिलसिला अला हालही जारी व सारि है।

मज़हब-ए-इस्लाम अल्लाह त'आला का पसंदीदा दीन है । जिंदगी का कोई ऐसा शोबा नही जिसके लिए इस्लाम ने हमे क़ानून न दिया हो ।

आज जिस दौर से हम गुज़र रहे है हमारा मुस्लिम तबका उर्दू की तरफ ध्यान नही दे रहा है और नई नस्ल तो बिल्कुल ही उर्दू से नावाक़िफ़ होती जा रही है । नतीजे के तौर पर दीनी और मज़हबी दिलचस्पियाँ कम हो रही है और हम अपने हाल को ग़ैर मुंज़बित तरीके पे छोड़े रहते है ।

लिहाज़ा ये किताब हिंदी में लिखी गई है और आप सब की आसानी के लिए हम ने इस किताब को पीडीएफ फ़ाइल में आप की ख़िदमत में पेश किया है।
आप सब से हमारी गुज़ारिश है कि अपनी मसरूफ ज़िन्दगी में से रोज़ाना वक़्त निकाल कर बुज़ुर्गो की तस्नीफ़ करदा किताबो को मुताला में रखें , इंशा अल्लाह त'आला दीन और दुनिया दोनो में मक़बूल होंगे।

दुआओं के तलबगार

वसीम अहमद रज़ा खान और साथी

+91-8109613336

फिर दादा के हक़ीक़ी चचा का बेटा फिर सोतेले चचा का बेटा खुलासा यह कि उस ख़ान्दान में सब से ज़्यादा क़रीब का रिश्ता दार जो मर्द हो वली है अगर बेटा न हो तो जो हुक्म बेटे का है वही पोते का है वह न हो तो पर पोते का और अ़सबा के वली होने में उस का आज़ाद होना शर्त है अगर ग़ुलाम है तो उस को विलायत नहीं बल्कि उस सूरत में वली वह होगा जो उस के बा'द वली हो सकता है (आलमगीरी, 283 दुर्रे मुख़्तार 337 वग़ैराहुमा)

मसअ्ला :– किसी पागल औरत के बाप और बेटा या दादा और बेटा हैं तो बेटा वली है बाप और दादा नहीं मगर उस औरत का निकाह करना चाहें तो बेहतर यह कि बाप उस के बेटे (या'नी अपने नवासे) को निकाह कर देने का हुक्म कर दे (आलमगीरी 283)

मसअ्ला :– अ़स्बा न हो तो माँ वली है फिर दादी फिर नानी फिर बेटी फिर पोती फिर नवासी फिर पर पोती फिर नवासी की बेटी फिर नाना फिर हक़ीक़ी बहन फिर सोतेली बहन फिर अख़्याफ़ी भाई बहन यह दोनों एक दर्जे के हैं उन के बाद बहन वग़ैरहा की औलाद उसी तर्तीब से फिर फूफी फिर मामूँ फिर ख़ाला फिर चचाज़ाद बहन फिर उसी तर्तीब से उन की औलाद(ख़ानिया दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जब रिश्ता दार मौजूद न हो तो वली मौलल मवालात है या'नी वह जिस के हाथ पर उस का बाप मुशर्रफ़ बइस्लाम हुआ और यह अ़हद किया कि उस के बाद यह उस का वारिस होगा या दोनों ने एक दूसरे का वारिस होना ठहरा लिया हो (ख़ानिया रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– इन सब सूरतों के बा'द बादशाहे इस्लाम वली है फिर क़ाज़ी जबकि सुलतान की तरफ़ से उसे नाबालिग़ों के निकाह का इख़्तियार दिया गया हो और अगर उस के मुतअ़ल्लिक़ यह काम न हो और निकाह कर दिया फिर सुलतान की तरफ़ से यह ख़िदमत भी उसे सुपुर्द हुई और क़ाज़ी ने उस निकाह को जाइज़ कर दिया तो जाइज़ होगया (ख़ानिया)

मसअ्ला :– क़ाज़ी ने अगर किसी नाबालिग़ा लड़की से अपना निकाह कर लिया तो यह निकाह बग़ैर वली के हुआ या'नी उस सूरत में क़ाज़ी वली नहीं यूँही बादशाह ने अगर ऐसा किया तो यह भी बे वली के निकाह हुआ और अगर क़ाज़ी ने नाबालिग़ा लड़की का निकाह अपने बाप या लड़के से कराया तो यह भी जाइज़ नहीं। (आलमगीरी स 284 दुर्रे मुख़्तार 320)

मसअ्ला :– क़ाज़ी के बा'द क़ाज़ी का नाइब है जबकि बादशाहे इस्लाम ने क़ाज़ी को यह इख़्तियार दिया हो और क़ाज़ी ने उस नाइब को इजाज़त दी हो या तमाम उमूर में उस को नाइब किया हो (रद्दुल मुहतार 340)

मसअ्ला :– वसी को यह इख़्तियार नहीं कि यतीम का निकाह कर दे अगर्चे उस यतीम के बाप दादा ने यह वसीयत भी की हो कि मेरे बा'द तुम उस का निकाह कर देना अल्बत्ता अगर वह क़रीब का रिश्ता दार या हाकिम है तो कर सकता है कि अब वह वली भी है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– नाबालिग़ बच्चे की किसी ने परवरिश की मसलन उसे मुतबन्ना किया या लावारिस बच्चा कहीं पड़ा मिला उसे पाल लिया तो यह शख़्स उस के निकाह का वली नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– लोन्डी, ग़ुलाम के निकाह का वली उन का मौला है उस के सिवा किसी को विलायत नहीं अगर किसी और ने या उस ने ख़ुद निकाह कर लिया तो वह निकाह मौला की इजाज़त पर मौक़ूफ़ रहेगा जाइज़ कर देगा जाइज़ हो जायेगा रद कर देगा बातिल हो जायेगा और अगर ग़ुलाम दो शख़्स में मुश्तरक है तो एक शख़्स तन्हा उस का निकाह नहीं कर सकता (ख़ानिया)

मसअला :– मुसलमान शख़्स काफ़िरा के निकाह का वली नहीं मगर काफ़िरा बाँदी का वली उस का मौला है यूँही बादशाहे इस्लाम और क़ाज़ी भी काफ़िरा के वली हैं कि उस को उस का निकाह करने की इजाज़त है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– लौन्डी ग़ुलाम वली नहीं हो सकते यहाँ तक कि मकातिब अपने लड़के का वली नहीं (आलमगीरी)

मसअला :– काफ़िरे असली काफ़िरे अस्ली का वली है और मुरतद किसी का भी वली नहीं न मुस्लिम का न काफ़िर का यहाँ तक कि मुरतद मुरतद्दा का भी वली नहीं (आलमगीरी)

मसअला :– वली अगर पागल हो गया तो उस की विलायत जाती रही और अगर उस क़िस्म का पागल है कि कभी पागल रहता है और कभी होश में तो विलायत बाक़ी है इफ़ाक़ा की हालत में जो कुछ तसर्रुफ़ात करेगा नाफ़िज़ होंगे (आलमगीरी)

मसअला :– लड़का मअ़तूह या मजनून है और उसी हालत में बालिग़ हुआ तो बाप की विलायत अब भी बदस्तूर बाक़ी है और अगर बुलूग़ के वक़्त आ़क़िल था फिर मजनून या मअ़तूह (पागल) होगया तो बाप की विलायत फिर ऊ़द(वापस)कर आयेगी और किसी का बाप मजनून हो गया तो उस का बेटा वली है अपने बाप का निकाह कर सकता है (आलमगीरी 284)

मसअला :– अपने बालिग़ लड़के का निकाह कर दिया और अभी लड़के ने जाइज़ न किया था कि पागल हो गया अब उस के बाप ने निकाह जाइज़ कर दिया तो जाइज़ हो गया। (आलमगीरी)

मसअला :– नाबालिग़ ने अपना निकाह खुद किया और न उस का वली है न वहाँ हाकिम तो यह निकाह मौक़ूफ़ है बालिग़ होकर अगर जाइज़ कर देगा हो जायेगा और अगर नाबालिग़ ने बालिग़ औ़रत से निकाह किया फिर ग़ाइब हो गया फिर औ़रत ने दूसरा निकाह किया और नाबालिग़ ने बुलूग़ के वक़्त निकाह जाइज़ कर दिया था अगर दूसरा निकाह इजाज़त से पहले किया तो दूसरा हो गया और बाद में तो नहीं और अब पहला हो गया (दुर्रे मुख़्तार स 341रद्दुल मुहतार)

मसअला :– दो बराबर के वली ने निकाह कर दिया मसलन उस के दो हक़ीक़ी भाई हैं दोनों ने निकाह कर दिया तो जिस ने पहले किया वह सहीह है और अगर दोनों ने एक साथ किया हो या मालूम न हो कि कौन पीछे है कौन पहले तो दोनों बातिल (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– वली अक़रब (ज़्यादा क़रीब) ग़ाइब है उस वक़्त दूर वाले वली ने निकाह कर दिया तो सहीह है और अगर उस की मौजूदगी में निकाह किया तो उसकी इजाज़त पर मौक़ूफ़ है महज़ उस का सुकूत काफ़ी नहीं बल्कि सराहतन या दलालतन इजाज़त की ज़रूरत है यहाँ तक कि अगर वली अक़रब मज्लिस में मौजूद हो तो यह भी इजाज़त नहीं और अगर उस वली अक़रब ने न इजाज़त दी थी न रद किया और मरगया या ग़ाइब हो गया कि अब विलायत उसी दूर वाले को पहुँची तो वह क़ब्ल में उस का निकाह कर देना इजाज़त नहीं बल्कि अब उसकी जदीद इजाज़त दरकार है (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– वली के ग़ाइब होने से मुराद यह है कि अगर उस का इन्तिज़ार किया जाये तो वह जिस ने पैग़ाम दिया है और कफ़ू भी है हाथ से जाता रहेगा अगर वली क़रीब मफ़क़ूदुलख़बर(पता नहीं) हो या कहीं दूर रहा करता हो कि उस का पता मालूम न हो या वह वली उसी शहर में छुपा

हुआ है मगर लोगों को उस का हाल मालूम नहीं और वली अबअ़द ने निकाह़ कर दिया और वह अब ज़ाहिर हुआ तो निकाह सहीह होगया (ख़ानिया वग़ैरह)

मसअ्ला :– वली अक़रब सालिहे विलायत नहीं मसलन बच्चा है या मज़नून तो वली अबअ़द ही निकाह का वली है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मौला अगर गाइब भी हो जाये और उस का पता भी न चले जब भी लौन्डी ग़ुलाम के निकाह की विलायत उसी को है उस के रिश्तेदार वली नहीं (आलमगीरी 285)

मसअ्ला :– लौन्डी आज़ाद हो गई और उसका अ़स्बा कोई न हो तो वह अ़स्बा है जिस ने उसे आज़ाद किया और उसी की इजाज़त से निकाह होगा वह मर्द हो या औ़रत और ज़विलअरहाम पर आज़ाद करने वाला मुक़द्दम है (जौहरा नय्यरा)

मसअ्ला :– कफ़ू नें पैग़ाम दिया और महरे मिस्ल भी देने पर तैयार है मगर वली अक़रब लड़की का निकाह उस से नहीं करता बल्कि बिला वजह इन्कार करता है तो वली अबअ़द(दूर का वली) निकाह कर सकता है (दुर्रे मुख़्तार 342)

मसअ्ला :– नाबालिग़ और मजनून और लौन्डी ग़ुलाम के निकाह के लिए वली शर्त है बग़ैर वली उन का निकाह नहीं हो सकता और हुर्रा बालिग़ा आ़क़िला ने बग़ैर वली कफ़ू से निकाह किया तो निकाह सहीह होगया और ग़ैर कफ़ू से निकाह किया तो न हुआ अगर्चे निकाह के बाद राज़ी हो गया अल्बत्ता अगर वली ने सुकूत किया और कुछ जवाब न दिया और औ़रत के बच्चा भी पैदा हो गया तो अब निकाह सहीह माना जायेगा (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार स 321)

मसअ्ला :– जिस औ़रत का कोई अ़सबा न हो वह अगर अपना निकाह जान बूझकर ग़ैर कफ़ू से करे तो निकाह हो जायेगा।

मसअ्ला :– जिस औ़रत को उस के शौहर ने तीन तलाक़ें दे दीं बाद इद्दत उस ने जान बूझ कर ग़ैर कफ़ू से निकाह कर लिया और वली राज़ी नहीं या वली को उस का ग़ैर कफ़ू होना मालूम नहीं तो यह औ़रत शौहरे अव्वल के लिए हलाल न हुई (दुर्रे मुख़्तार 322)

मसअ्ला :– एक दर्जे के चन्द वली हों बाज़ का राज़ी हो जाना काफ़ी है और अगर मुख़्तलिफ़ दरजे के हों तो अक़रब(ज़्यादा करीब) का राज़ी होना ज़रूरी है कि हक़ीक़तन यही वली है और जिस वली की रज़ा से निकाह हुआ जब उस से कहा गया तो यह कहता है कि यह शख़्स कफ़ू है तो अब उस की रज़ा बेकार है उस की रज़ा से बक़िया वुरसा का हक़ साक़ित न होगा(रद्दुल मुहतार 323 वग़ैरा)

मसअ्ला :– राज़ी होना दो तरह है एक यह कि सराहतन कहदे कि मैं राज़ी हूँ दूसरे यह कि कोई ऐसा फ़ेल यानी काम पाया जाये जिस से राज़ी होना समझा जाता हो मसलन महर पर क़ब्ज़ा करना या महर का मुतालबा या दअ़्वा कर देना या औ़रत को रुख़सत कर देना कि यह सब अफ़आ़ल राज़ी होने की दलील हैं उस को दलालतन रज़ा कहते हैं और वली का सुकूत रज़ा नहीं (दुर्रे मुख़्तार 324)

मसअ्ला :– शाफ़िई औ़रत बालिग़ा कुंवारी ने हन्फ़ी से निकाह किया और उस का बाप राज़ी नहीं तो निकाह सहीह हो गया यूँही उस का अ़क्स (आलमगीरी 287)

मसअ्ला :– औ़रत बालिग़ा आ़क़िला का निकाह बग़ैर उस की इजाज़त के कोई नहीं कर सकता न उस का बाप न बादशाहे इस्लाम कुँवारी हो या सय्यब यूँही मर्द बालिग़ आज़ाद और मकातिब व

मकातिबा का अक़्दे निकाह बिला उन की मरज़ी के कोई नहीं कर सकता(आलमगीरी,स 287 दुर्रे मुख़्तार 324)

मसअ्ला :– कुँवारी औरत से उस के वली या वली के वकील या क़ासिद ने इज़्न माँगा या वली ने बिला इजाज़त लिए निकाह कर दिया अब उस के क़ासिद ने या किसी फ़ुज़ूली आ़दिल ने ख़बर दी और औरत ने सुकूत किया या हँसी या मुसकुराई या बग़ैर आवाज़ के रोई तो इन सब सूरतों में इज़्न समझा जायेगा कि पहली सूरत में निकाह कर देने की इजाज़त है दूसरी में निकाह किया हुआ मन्ज़ूर है और अगर इज़्न त़लब करते वक़्त या जिस वक़्त निकाह हो जाने की ख़बर दी गई उस ने सुन कर कुछ जवाब न दिया बल्कि किसी और से कलाम करना शुरू किया मगर निकाह को रद न किया तो यह भी इज़्न है और चुप रहना इस वजह से हुआ कि उसे खाँसी या छींक आगई तो यह रज़ा नहीं इसके बा'द रद कर सकती है यूँही अगर किसी ने उस का मुँह बन्द कर दिया कि बोल न सकी तो रज़ा नहीं और हँसना अगर बतौर इस्तिहज़ा के हो या रोना आवाज़ से हो तो इज़्न नहीं (दुर्रे मुख़्तार, 324 आलमगीरी287)

मसअ्ला :– एक दरजा के दो वली ने बएक वक़्त दो शख़्सों से निकाह कर दिया और दोनों की ख़बर एक साथ पहुँची औरत ने सुकूत किया तो दोनों मौक़ूफ़ हैं अपने क़ौल या फ़ेल से जिस एक को जाइज़ करे जाइज़ है और दूसरा बातिल और दोनों को जाइज़ किया तो दोनों बातिल और दोनों ने इज़्न माँगा और औरत ने,सुकूत किया तो जो पहले निकाह कर दे वह होगा(दुर्रे मुख़्तार स 325 रद्दुलमुह़तार)

मसअ्ला :– वली ने निकाह कर दिया औरत को ख़बर पहुँची उस ने सुकूत किया मगर उस वक़्त शौहर मर चुका था तो यह इज़्न नहीं और अगर शौहर के मरजाने के बा'द कहती है कि मेरे इज़्न से मेरे बाप ने उस से निकाह किया और शौहर के वुरसा इन्कार करें तो औरत का क़ौल माना जायेगा लिहाज़ा वारिस होगी और इद्दत वाजिब और अगर औरत ने यह बयान किया कि मेरे इज़्न के बग़ैर निकाह हुआ मगर जब निकाह की ख़बर पहुँची मैंने निकाह को जाइज़ किया तो वुरसा का क़ौल मोअ्तबर है अब न महर पायेगी न मीरास रहा यह कि इद्दत गुज़ारेगी या नहीं अगर वाक़ेअ् में सच्ची है तो इद्दत गुज़ारे वरना नहीं मगर निकाह करना चाहे तो इद्दत तक रोकी जायेगी जब उस ने अपना निकाह होना बयान किया तो अब बग़ैर इद्दत क्योंकर निकाह करेगी(आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– औरत से इज़्न लेने गये उस ने कहा किसी और से होता तो बेहतर था तो यह इन्कार है और अगर निकाह के बा'द ख़बर दी गई और औरत ने वही लफ़्ज़ कहे तो कबूल समझा जायेगा (दुर्रे मुख़्तार स 325)

मसअ्ला :– वली उस औरत से ख़ुद अपना निकाह करना चाहता है और इज़्न लेने गया उस ने सुकूत किया तो यह रज़ा है और अगर निकाह अपने से कर लिया अब ख़बर दी और सुकूत किया तो यह रद है रज़ा नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– किसी ख़ास की निस्बत औरत से इज़्न माँगा उस ने इन्कार कर दिया मगर वली ने उसी से निकाह कर दिया अब ख़बर पहुँची और साकित (चुप) रही तो यह इज़्न हो गया और अगर कहा कि मैं तो पहले ही से उस से निकाह नहीं चाहती हूँ तो यह रद है और अगर जिस वक़्त ख़बर पहुँची इन्कार किया फिर बाद को रज़ा ज़ाहिर की तो यह निकाह जाइज़ न हुआ (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– इज़्न लेने में यह भी ज़रूरी है कि जिस से निकाह करने का इरादा हो उस का नाम

उस तरह लिया जाये जिस को वह औ़रत जान सके अगर यूँ कहा कि एक मर्द से तेरा निकाह़ कर दूँ या यूँ कि फलाँ क़ौम के एक शख़्स से निकाह़ कर दूँ तो यूँ इज़्न नहीं हो सकता अगर यूँ कहा कि फ़ुलाँ या फ़ुलाँ से तेरा निकाह़ कर दूँ और औ़रत ने सुकूत किया तो इज़्न हो गया उन दोनों में जिस एक से चाहे कर दे या यूँ कहा कि पड़ोस वालों में से किसी से निकाह़ कर दूँ या यूँ कहा कि चचा ज़ाद भाईयों में किसी से निकाह़ कर दूँ और सुकूत किया और दोनों सूरतों में उन सब को जानती भी हो तो इज़्न होगया उन में जिस एक से करेगा हो जायेगा और सब को जानती न हो तो इज़्न नहीं। (दुर्रे मुख़्तार स 326 रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला :– औ़रत ने इज़्ने आ़म दे दिया मसलन वली ने कहा कि बहुत से लोगों ने पैग़ाम भेजा है औ़रत ने कहा जो तू करे मुझे मनज़ूर है या जिस से तू चाहे निकाह़ कर दे तो यह इज़्ने आ़म है जिस से चाहे निकाह़ कर दे मगर उस सूरत में भी अगर किसी ख़ास शख़्स की निस्बत औ़रत पेश्तर इन्कार कर चुकी है तो उस के बारे में इज़्न न समझा जायेगा (दुर्रे मुख़्तार 326 रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला :– इज़्न लेने में महर का ज़िक्र शर्त़ नहीं और बाज़ मशाइख़ ने शर्त़ बताया लिहाज़ा ज़िक्र हो जाना चाहिए कि इख़्तिलाफ़ से बचना है और अगर ज़िक्र न किया तो ज़रूर है कि जो महर बाँधा जाये वह महर "मिस्ल" से कम न हो और कम हो तो बग़ैर औ़रत के राज़ी हुए अ़क़्द सह़ीह़ न होगा और अगर ज़्यादा कमी हो तो अगर्चे औ़रत राज़ी हो औलिया को एअ्तिराज़ का ह़क़ ह़ासिल है यानी जबकि किसी ग़ैर वली ने निकाह़ किया हो और वली ने ख़ुद ऐसा किया तो कौन एअ्तिराज़ करे (रद्दुल मुह़तार स 326)

मसअ्ला :– वली ने औ़रत बालिग़ा का निकाह़ उस के सामने कर दिया और उसे उस का इल्म भी हुआ और सुकूत किया तो यह रज़ा है (दुर्रे मुख़्तार 326)

मसअ्ला :– यह अह़काम जो मज़कूर हुए वली अक़रब के हैं अगर वली बईद या अजनबी ने निकाह़ का इज़्न त़लब किया तो सुकूत इज़्न नहीं बल्कि अगर कुँवारी है तो सराह़तन इज़्न के अल्फ़ाज़ कहे या कोई ऐसा फ़ेल करे जो क़ौल के हुक्म में हो मसलन महर या नफ़्क़ा त़लब करना ख़ुशी से हँसना, ख़लवत पर राज़ी होना महर या नफ़्क़ा क़बूल करना (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– वली ने औ़रत से कहा मैं यह चाहता हूँ कि फ़ुलाँ से तेरा निकाह़ कर दूँ उस ने कहा ठीक है जब चला गया तो कहने लगी मैं राज़ी नहीं और वली को उस का इल्म न हुआ और निकाह़ कर दिया तो सह़ीह़ हो गया (आ़लमगीरी स 288)

मसअ्ला :– बिक्र (कुँवारी)वह औ़रत है जिस से निकाह़ के साथ वत़ी न की गई हो लिहाज़ा अगर ज़ीना पर चढ़ने या उतरने या कूदने या हैज़ या ज़ख़्म या बिला निकाह़ ज़्यादा उ़म्र हो जाने या ज़िना की वजह से बुकारत ज़ाइल होगई जब भी वह कुँवारी ही कहलायेगी यूँही अगर उस का निकाह़ हुआ मगर शौहर नामर्द है या उस का उ़ज़्वे तनासुल मक़तूअ़ है उस वजह से तफ़रीक़ हो गई बल्कि अगर शौहर ने वत़ी से पहले त़लाक़ दे दी या मरगया अगर्चे इन सब सूरतों में ख़लवत हो चुकी हो जब भी बिक्र है मगर चन्द बार उस ने ज़िना किया कि लोगों को उस का ह़ाल मालूम होगया या उस पर ह़द्दे ज़िना क़ाइम की गई अगर्चे एक ही बार वाक़ेअ़ हुआ हो तो अब वह औ़रत बिक्र नहीं क़रार दी जायेगी और जो औ़रत कुँवारी न हो उस को सय्यब कहते हैं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– लड़की का निकाह नाबालिग़ा समझ कर उस के बाप ने कर दिया वह कहती है मैं बालिग़ा हूँ मेरा निकाह सहीह न हुआ और उस का बाप या शौहर कहता है नाबालिग़ा है और निकाह सहीह है तो अगर उस की उम्र नौ बरस की हो और मुराहिक़ा हो तो लड़की का क़ौल माना जायेगा और अगर दोनों ने अपने अपने दअ्वा पर गवाह पेश किये तो बुलूग़ के गवाह को तरजीह है यूँही अगर लड़के मुराहिक़ ने अपने बुलूग़ का दअ्वा किया तो उसी का क़ौल मोअ्तबर है मसलन उस के बाप ने उस की कोई चीज़ बेच डाली यह कहता है मैं बालिग़ हूँ और बैअ् सहीह न हुई उस का बाप या ख़रीदार कहता है नाबालिग़ है तो बालिग़ होना क़रार पायेगा जबकि उस की उम्र उस क़ाबिल हो (दुर्रे मुख़्तार 329)

मसअला :– नाबालिग़ लड़का और लड़की अगर्चे सय्यब हो और मजनून व मअ्तुह के निकाह पर वली को विलायते इजबार (जबरदस्ती) हासिल है यानी अगर्चे यह लोग न चाहें वली ने जब निकाह करदिया हो गया फिर अगर बाप दादा या बेटे ने निकाह कर दिया है तो अगर्चे महर मिस्ल से बहुत कम या ज़्यादा पर निकाह किया या ग़ैर कफ़ू से किया जब भी हो जायेगा बल्कि लाज़िम हो जायेगा कि उन को बालिग़ होने के बाद या मजनून को होश आने के बाद उस निकाह के तोड़ने का इख़्तियार नहीं यूँही मौला का निकाह किया हुआ भी फ़स्ख़ नहीं हो सकता हाँ अगर बाप दादा या लड़के का सूए इख़्तियार मालूम हो चुका हो मसलन उस से पेश्तर उस ने अपनी लड़की का निकाह किसी ग़ैर कफ़ू फ़ासिक़ वग़ैरा से कर दिया और अब यह दूसरा निकाह ग़ैर कफ़ू से करेगा तो सहीह न होगा यूँहीं अगर नशे की हालत में ग़ैर कफ़ू से या महरे मिस्ल में ज़्यादा कमी के साथ निकाह किया तो सहीह न हुआ और अगर बाप दादा या बेटे के सिवा किसी और ने किया है और ग़ैर कफ़ू या महर मिस्ल में ज़्यादा कमी बेशी के साथ हुआ तो मुतलक़न सहीह नहीं। और अगर कफ़ू से महरे मिस्ल के साथ किया है तो सहीह है मगर बालिग़ होने के बाद और मजनून को इफ़ाक़ा के बाद और मअ्तूह को आ़क़िल होने के बाद फ़स्ख़ का इख़्तियार होगा अगर्चे ख़लवत बल्कि वती हो चुकी हो यानी अगर निकाह होना पहले से मालूम है तो बिक्र बालिग़ होते ही फ़ौरन और अगर मालूम न था तो जिस वक़्त मालूम हो उसी वक़्त फ़ौरन फ़स्ख़ कर सकती है अगर कुछ भी वक़्फ़ा हुआ तो इख़्तियारे फ़स्ख़ ज़ाता रहा यह न होगा के आख़िर मज्लिस तक इख़्तियार बाक़ी रहे मगर निकाह फ़स्ख़ उस वक़्त होगा जब क़ाज़ी फ़स्ख़ का हुक्म भी दे दे लिहाज़ा उसी इसना में क़ब्ल हुक्मे क़ाज़ी अगर एक का इन्तिक़ाल हो गया तो दूसरा वारिस होगा और पूरा महर लाज़िम होगा (दुर्रे मुख़्तार, स 329 ख़ानिया 333 जौहरा वग़ैरहा)

मसअला :– औ़रत को ख़ियारे बुलूग़ हासिल था जिस वक़्त बालिग़ हुई उसी वक़्त उसे यह ख़बर मिली कि फ़ुलाँ जाइदाद फ़रोख़्त हुई जिस का शुफ़आ़ यह कर सकती है ऐसी हालत में अगर शुफ़आ़ करना ज़ाहिर करती है तो ख़ियारे बुलूग़ जाता है और अपने नफ़्स को इख़्तियार करती है तो शुफ़आ़ जाता है और चाहती यह है कि दोनों हासिल हो लिहाज़ा उस का तरीक़ा यह है कि कहे मैं दोनों हक़ तलब करती हूँ फिर तफ़सील में पहले ख़ियारे बुलूग़ को ज़िक्र करे और सय्यब को ऐसा मुआ़मला पेश आये तो शुफ़आ़ को मुक़द्दम करे और उस की वजह से ख़ियारे बुलूग़ बातिल न होगा (दुर्रे मुख़्तार 336)

मसअ्ला :– औरत जिस वक़्त बालिग़ा हुई उसी वक़्त किसी को गवाह बनाये कि मैं अभी बालिग़ा हुई और अपने नफ़्स को इख़्तियार करती हूँ और रात में अगर उसे हैज़ आया तो उसी वक़्त अपने नफ़्स को इख़्तियार करे और सुबह को गवाहों के सामने अपना बालिग़ होना और इख़्तियार करना बयान करे मगर यह न कहे कि रात में बालिग़ हुई बल्कि यह कहे कि मैं उस वक़्त बालिग़ हुई और अपने नफ़्स को इख़्तियार किया और उस लफ़्ज़ से यह मुराद ले कि मैं उस वक़्त बालिग़ हूँ ताकि झूट न हो (बज़ाज़िया वग़ैराहुमा)

मसअ्ला :– औरत को यह मालूम न था कि उसे ख़ियारे बुलूग़ हासिल है इस बिना पर उस ने उस पर अमल दरआमद भी न किया अब उसे यह मसअ्ला मालूम हुआ तो अब कुछ नहीं कर सकती कि उस के लिए जहल उज़्र नहीं और लौन्डी किसी के निकाह में है अब आज़ाद हुई तो उसे ख़ियारे इत्क़ हासिल है कि बाद आज़ादी चाहे उस निकाह पर बाक़ी रहे या फ़स्ख़ कराले उस के लिए जहल उज़्र है कि बाँदियों को मसाइल सीखने का मौक़ा नहीं मिलता और हुर्रा को हर वक़्त हासिल है और न सीखना ख़ुद उसी का क़ुसूर है लिहाज़ा क़ाबिले मअ्ज़ूरी नहीं।(दुर्रे मुख़्तार स 235 वग़ैरा)

मसअ्ला :– लड़का या सय्यब बालिग़ हुए तो सुकूत से ख़ियारे बुलूग़ बातिल न होगा जब तक साफ़ तौर पर अपनी रज़ा या कोई ऐसा फ़ेल जो रज़ा पर दलालत करे (मसलन बोसा लेना, छूना, महर लेना देना वती पर राज़ी होना) न पाया जाये मज्लिस से उठ जाना भी ख़ियार को बातिल नहीं करता कि उसका वक़्त महदूद नहीं उम्र भर उस का वक़्त है (ख़ानिया 337) रहा यह अम्र कि फ़स्ख़े निकाह से महर लाज़िम आयेगा या नहीं अगर उस से वती न हुई तो महर भी नहीं अगर्चे जुदाई बीवी की जानिब से हो (जौहरा)

मसअ्ला :– अगर वती हो चुकी है तो फ़स्ख़ के बाद औरत के लिए इद्दत भी है वरना नहीं और उस ज़मान–ए–इद्दत में अगर शौहर उसे तलाक़ दे तो वाक़ेअ् न होगी और यह फ़स्ख़ तलाक़ नहीं लिहाज़ा अगर फिर उन्हीं दोनों का बाहम निकाह हो तो शौहर तीन तलाक़ का मालिक होगा(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– सय्यब का निकाह हुआ उस के बाद शौहर के यहाँ से कुछ तोहफ़ा आया उस ने ले लिया रज़ा साबित न हुई यूँही अगर उस के यहाँ खाना खाया या उस की ख़िदमत की और पहले भी ख़िदमत करती थी तो रज़ा नहीं (आलमगीरी स 290)

मसअ्ला :– नाबालिग़ ग़ुलाम का निकाह नाबालिग़ा लौन्डी से उन के मौला ने करदिया फिर उन को आज़ाद कर दिया अब बालिग़ हुए तो उन को ख़ियारे बुलूग़ हासिल नहीं और अगर लौन्डी को आज़ाद करने के बाद निकाह किया तो बालिग़ा होने के बाद उसे ख़ियार हासिल है (आलमगीरी)

कफ़ू का बयान

तिर्मिज़ी व हाकिम व इब्ने माजा अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब ऐसा शख़्स पैग़ाम भेजे जिस के ख़ुल्क़ व दीन को पसन्द करते हो तो निकाह कर दो अगर न करोगे तो ज़मीन में फ़ितना और फ़सादे अज़ीम होगा। तिर्मिज़ी शरीफ़ में मौला अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐ अली तीन चीज़ों में ताख़ीर न करो 1. नमाज़ का जब वक़्त आजाये 2. जनाज़ा जब मौजूद हो 3. बे शौहर वाली का जब कफ़ू मिले कफ़ू के यह मअ्ना हैं कि मर्द औरत से नसब वग़ैरा में इतना कम न हो कि उस से निकाह औरत के औलिया के लिए बाइसे नंग

व आर हो किफ़ाअत सिर्फ़ मर्द की जानिब से मोअ्तबर है औरत अगर्चे कम दरजा की हो उस का एअ्तिबार नहीं (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :— बाप दादा के सिवा किसी और वली ने नाबालिग़ लड़के का निकाह ग़ैर कफ़ू से कर दिया तो निकाह सहीह नहीं और बालिग़ अपना ख़ुद निकाह करना चाहे तो ग़ैर कफ़ू औरत से कर सकता है कि औरत की जानिब से उस सूरत में किफ़ाअत मोअ्तबर नहीं और नाबालिग़ में दोनों तरफ़ से किफ़ाअत का एअ्तिबार है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :— किफ़ाअत में छः चीज़ों का एअ्तिबार है (1) नसब (2) इस्लाम (3) हिरफ़ा(पेशा)(4) हुर्रियत (5) दियानत (6) माल कुरैश में जितने ख़ान्दान हैं वह सब बाहम कफ़ू हैं यहाँ तक कि क़र्शी ग़ैर हाश्मी हाशमी का कफ़ू है और कोई ग़ैर कर्शी कुरैश का कफ़ू नहीं। कुरैश के अलावा अ़रब की तमाम क़ौमें एक दूसरे की कफ़ू हैं अन्सार व मुहाजिरीन सब उस में बराबर हैं। अ़जमीयुन्नस्ब अ़रबी का कफ़ू नहीं मगर आ़लिमे दीन कि उस की शराफ़त नसब की शराफ़त पर फ़ौक़ियत रखती है(ख़ानिया आलमगीरी)

मसअ्ला :— जो ख़ुद मुसलमान हुआ यानी उस के बाप दादा मुसलमान न थे वह उस का कफ़ू नहीं जिस का बाप मुसलमान हो और जिस का सिर्फ़ बाप मुसलमान हो उस का कफ़ू नहीं जिस का दादा भी मुसलमान हो और बाप दादा दो पुश्त से इस्लाम हो तो अब दूसरी तरफ़ अगर्चे ज़्यादा पुश्तों से इस्लाम हो कफ़ू हैं मगर बाप दादा के इस्लाम का एअ्तिबार ग़ैर अ़रब में है अ़रबी के लिए ख़ुद मुसलमान हुआ या बाप दादा से इस्लाम चला आता हो सब बराबर हैं (ख़ानिया दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— मुरतद अगर इस्लाम लाया तो वह उस मुसलमान का कफ़ू है जो मुरतद न हुआ था (दुर्रे मुख़्तार स 347)

मसअ्ला :— ग़ुलाम हुर्रा का कफ़ू नहीं न वह जो आज़ाद किया गया हुर्रा–ए–अस्लिया का कफ़ू है और जिस का बाप दादा आज़ाद किया गया वह उस का कफ़ू नहीं जिस का दादा आज़ाद किया गया और जिस का दादा आज़ाद किया गया वह उस का कफ़ू है जिस की आज़ादी कई पुश्त से है (ख़ानिया)

मसअ्ला :— जिस लौन्डी के आज़ाद करने वाले अशराफ़ हों उस का कफ़ू वह नहीं जिस के आज़ाद करने वाले ग़ैर अशराफ़ हों (आलमगीरी स 290)

मसअ्ला :— फ़ासिक़ शख़्स मुत्तक़ी की लड़की का कफ़ू नहीं अगर्चे वह लड़की ख़ुद मुत्तक़िया न हो (दुर्रे मुख़्तार 337 वग़ैरा) और ज़ाहिर कि फ़िस्क़े एअ्तिक़ादी फ़िस्क़े अ़मली से बदरजहा बदतर लिहाज़ा सुन्नी औरत का कफ़ू वह बद मज़हब नहीं हो सकता जिस की बद मज़हबी हदे कुफ़्र को न पहुँची हो और जो बदमज़हब ऐसे हैं कि उन की बद मज़हबी कुफ़्र को पहुँची हो उन से तो निकाह ही नहीं हो सकता कि वह मुसलमान ही नहीं कफ़ू होना तो बड़ी बात है जैसे रवाफ़िज़ व वहाबिया–ए–ज़माना कि उन के अ़क़ाइद व अक़वाल का बयान हिस्सए अव्वल में हो चुका है।

मसअ्ला :— माल में किफ़ाअत के यह मअ्ना हैं कि मर्द के पास इतना माल हो कि महर मुअ़ज्जल और नफ़्क़ा देने पर क़ादिर हो अगर्चे पेशा न करता हो तो एक माह का नफ़्क़ा देने पर क़ादिर हो वरना रोज़ की मज़दूरी इतनी हो कि औरत के रोज़ के ज़रूरी मसारिफ़ रोज़ दे सके उस की ज़रूरत नहीं कि माल में यह उस के बराबर हो (ख़ानिया दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— मर्द के पास माल है मगर जितना महर है उतना ही उस पर क़र्ज़ भी है और माल

इतना है कि क़र्ज़ अदा कर दे या दैन महर तो कफ़ू है (रद्दुल मुहतार स 348)

मसअ्ला :– औरत मोहताज है और उस के बाप दादा भी ऐसे ही हैं तो उस का कफ़ू बहैसियत माल वही होगा कि महर मुअज्जल और नफ़क़ा देने पर क़ादिर हो (ख़ानिया)

मसअ्ला :– मालदार शख़्स का नाबालिग़ लड़का अगर्चे वह ख़ुद माल का मालिक नहीं मगर मालदार क़रार दिया जायेगा कि छोटे बच्चे बाप दादा के माल होने से ग़नी कहलाते हैं (ख़ानिया वग़ैरहा)

मसअ्ला :– मुह्ताज ने निकाह किया और औरत ने महर मुआफ़ कर दिया तो वह कफ़ू नहीं हो जायेगा कि किफ़ाअत का एअ्तिबार वक़्ते अक़्द है और अक़्द के वक़्त वह कफ़ू न था (आलमगीरी 291)

मसअ्ला :– नफ़्क़ा पर क़ुदरते कफ़ू होने में उस वक़्त ज़रूरी है कि औरत क़ाबिले जिमाअ् हो वरना जब तक उस क़ाबिल न हो शौहर पर उसका नफ़्क़ा वाजिब नहीं लिहाज़ा उस पर क़ुदरत भी ज़रूरी नहीं सिर्फ़ महरे मुअज्जल पर क़ुदरत काफ़ी है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिन लोगों के पेशे ज़लील समझे जाते हों वह अच्छे पेशा वालों के कफ़ू नहीं मसलन जूता बनाने वाले, चमड़ा पकाने वाले, साईस चरवाहे यह उन के कफ़ू नहीं जो कपड़ा बेचते इत्र फ़रोशी करते तिजारत करते हैं और अगर ख़ुद जूता न बनाता हो बल्कि कार ख़ाना दार है कि उस के यहाँ लोग नौकर हैं या दुकानदार है कि बने हुए जूते लेता और बेचता है तो ताजिर वग़ैरा का कफ़ू है यूँही और कामों में (दुर्रे मुख़्तार स 349 रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– नाजाइज़ महकमों की नौकरी करने वाले या वह नौकरियाँ जिन में ज़ालिमों का इत्तिबाअ् करना होता है अगर्चे यह सब पेशों से रज़ील पेशा है और उलमा–ए–मुतक़द्दिमीन ने इस बारे में यही फ़तवा दिया था कि अगर्चे यह कितने ही मालदार हों ताजिर वग़ैरा के कफ़ू नहीं मगर चुँकि किफ़ाअत का मदार उर्फ़े दुनियवी पर है और उस ज़माना में तक़वा व दियानत पर इज़्ज़त का मदार नहीं बल्कि अब तो दुनियवी वजाहत देखी जाती है और यह लोग चुँकि उर्फ़ में वजाहत वाले कहे जाते हैं लिहाज़ा उलमाए–मुताअख़्ख़िरीन ने इन के कफ़ू होने का फ़तवा दिया जब कि इन की नौकरियाँ उर्फ़ में ज़लील न हों (रद्दुल मुहतार स 349)

मसअ्ला :– औक़ाफ़ की नौकरी भी मिनजुमला पेशा के है अगर ज़लील काम पर न हो तो ताजिर वग़ैरा का कफ़ू हो सकता है यूँही इल्मे दीन पढ़ाने वाले ताजिर वग़ैरा के कफ़ू हैं बल्कि इल्मी फ़ज़ीलतों पर ग़ालिब हैं कि ताजिर वग़ैरा आलिम के कफ़ू नहीं (दुर्रे मुख़्तार 350 रद्दुल मुहतार) निकाह के वक़्त कफ़ू था बाद में किफ़ाअत जाती रही तो निकाह फ़स्ख़ नहीं किया जायेगा और अगर पहले किसी का पेशा कम दरजा का था जिस की वजह से कफ़ू न था और उस ने उस काम को छोड़ दिया अगर आर बाक़ी है तो अब भी कफ़ू नहीं वरना है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– किफ़ाअत में शहरी और देहाती होना मोअ्तबर नहीं जबकि शराइत मज़कूरा पाये जायें (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– हुस्न व जमाल का एअ्तिबार नहीं मगर औलिया को चाहिए कि उस का भी ख़याल कर लें कि बाद में कोई ख़राबी न वाक़ेअ् हो (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अमराज़ व उयूब मसलन जुज़ाम, जुनून, बरस, गन्दा दहनी वग़ैरहा का एअ्तेबार नहीं (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– किसी ने अपना नसब छुपाया और दूसरा नसब बता दिया बाद को मालूम हुआ तो अगर इतना कम दरजा है कि कफ़ू नहीं तो औरत और उसके औलिया को हक़्क़े फ़स्ख़ हासिल है

और अगर इतना कम नहीं कि कफ़ू न हो तो औलिया को हक नहीं है औरत को है और अगर उस का नसब उस बढ़ कर है जो बताया तो किसी को नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला – औरत ने शौहर को धोका दिया और अपना नसब दूसरा बताया तो शौहर को हक्के फ़स्ख नहीं चाहे रखे या तलाक देदे (आलमगीरी स 293)

मसअ्ला :– अगर गैर कफ़ू से औरत ने खुद या उस के वली ने निकाह कर दिया मगर उस का गैर कफ़ू होना मालूम न था और कफ़ू होना उस ने जाहिर भी न किया था तो फ़स्ख का इख्तियार नहीं। पहली सूरत में औरत को नहीं दूसरी में किसी को नहीं (खानिया आलमगीरी स 230)

मसअ्ला – औरत मजहूलतुन्नसब(ऐसी औरत जिसका का नसब मालूम न हो) से किसी गैर शरीफ़ ने निकाह किया बाद में किसी कर्शी ने दअ्वा किया कि यह मेरी लड़की है और काजी ने उस की बेटी होने का हुक्म दिया तो उस शख़्स को निकाह फ़स्ख करने का इख्तियार है (आलमगीरी)

निकाह की वकालत का बयान

मसअ्ला – निकाह की वकालत में गवाह शर्त नहीं (आलमगीरी) बगैर गवाहों के वकील किया और उस ने निकाह पढ़ा दिया हो गया गवाह की यूँ ज़रूरत है कि अगर इन्कार कर दिया कि मैं ने तुझ को वकील नहीं बनाया था तो अब वकालत साबित करने के लिए गवाहों की हाजत है।

मसअ्ला :– औरत ने किसी को वकील बनाया कि तू जिस से चाहे मेरा निकाह कर दे तो वकील खुद अपने निकाह में उसे नहीं ला सकता यूँही मर्द ने औरत को वकील बनाया तो वह औरत अपना निकाह उस से नहीं कर सकती (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मर्द ने औरत को वकील किया कि तू अपने साथ मेरा निकाह कर दे या औरत ने मर्द को वकील किया कि मेरा निकाह अपने साथ कर ले उस ने कहा मैं ने फ़ूलाँ मर्द (मुवक्किल का नाम लेकर) या फ़ुलानी औरत (मुवक्किला का नाम लेकर) से अपना निकाह किया हो गया कबूल कीर भी हाजत नहीं (आलमगीरी 266)

मसअ्ला :– किसी को वकील किया कि फ़ुलानी औरत से इतने महर पर मेरा निकाह कर दे वकील ने उस महर पर अपना निकाह उस औरत से कर लिया तो उसी वकील का निकाह हुआ फिर वकील ने उसे महीने भर रख कर दुखूल के बाद उसे तलाक देदी और इद्दत गुजरने पर मुवक्किल से निकाह कर दिया मुवक्किल का निकाह जाइज होगया (आलमगीरी 296)

मसअ्ला :– वकील से कहा किसी औरत से मेरा निकाह कर दे उस ने बाँदी से किया सहीह न हुआ यूँही अपनी बालिग़ा या नाबालिग़ा लड़की या नाबालिग़ा बहन या भतीजी से कर दिया जिस का यह वली है तो निकाह सहीह न हुआ और अगर बालिग़ा बहन या भतीजी से किया तो सहीह है यूँही औरत के वकील ने उस का निकाह अपने बाप या बेटे से कर दिया तो सहीह न हुआ।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत ने अपने कामों में तसर्रूफात का किसी को वकील किया उस ने उस वकालत की बिना पर अपना निकाह उस से कर लिया औरत कहती है मैं ने तो खरीद व फरोख्त के लिए वकील बनाया था निकाह का वकील नहीं किया था तो यह निकाह सहीह न हुआ अगर निकाह का वकील होता भी तो उसे कब इख्तियार था कि अपने साथ निकाह कर ले (आलमगीरी स 296)

मसअ्ला :– वकील से कहा फुलाँ औरत से मेरा निकाह कर दे उस ने दूसरी से कर दिया या दूसरा

से करने को कहा था बाँदी से किया या बाँदी से करने को कहा था आज़ाद औरत से किया या जितना महर बता दिया था उस से ज़्यादा बाँधा या औरत ने निकाह का वकील कर दिया था उस ने ग़ैर कफ़ू से निकाह कर दिया उन सब सूरतों में निकाह सहीह नहीं हुआ (दुर्रे मुख़्तार स 253 रद्दुलमुहतार 352)

मसअला :– औरत के वकील ने उस का निकाह कफ़ू से किया मगर वह अन्धा या आपहिज या बच्चा या मअ्तूह (कम अक़्ल) तो होगया यूँही मर्द के वकील ने अन्धी या लुन्झी या मजनूना या नाबालिग़ा से निकाह कर दिया सहीह होगया और अगर ख़ूबसूरत औरत से निकाह करने को कहा था उस ने काली हब्शन से कर दिया या उस का अक्स तो न हुआ और अन्धी से निकाह करने के लिए कहा था वकील ने आँख वाली से करदिया तो सहीह है (आलमगीरी 295)

मसअला :– वकील से कहा किसी औरत से मेरा निकाह कर दो उस ने उस औरत से किया जिस की निस्बत मुवक्किल कह चुका था कि उस से निकाह करूँ तो उसे तलाक़ है तो निकाह हो गया और तलाक़ पड़ गई (आलमगीरी 295)

मसअला :– वकील से कहा किसी औरत से निकाह कर दे वकील ने उस औरत से किया जिस को मुवक्किल तवकील (वकली बनाने) से पहले छोड़ चुका है अगर मुवक्किल ने उस की बद ख़ुलक़ी वग़ैरा की शिकायत वकील से न की हो तो निकाह हो जायेगा और अगर जिस से निकाह किया उसे वकील बनाने के बाद छोड़ा है तो न हुआ (आलमगीरी 295)

मसअला :– वकील से कहा फ़ुलानी या फ़ुलानी से कर दे तो जिस एक से करेगा हो जायेगा और अगर दोनों से एक अक़्द में किया तो किसी से न हुआ (ख़ानिया)

मसअला :– वकील से कहा एक औरत से निकाह कर दे उस ने दो से एक अक़्द में किया तो किसी से नाफ़िज़ न हुआ फ़िर अगर मुवक्किल उन में से एक को जाइज़ कर दे तो जाइज़ हो जायेगा और दोनों को तो दोनों और अगर दो अक़्द में दोनों से निकाह किया तो पहला लाज़िम हो जायेगा और दूसरा मुवक्किल की इजाज़त पर मौकूफ़ रहेगा और अगर दो औरतों से एक अक़्द के साथ निकाह करने को कहा था उस ने एक से किया या दो से दो अक़्दों में किया तो जाइज़ होगया और अगर कहा था फ़ुलानी से करदे वकील ने उस के साथ एक औरत मिला कर दोनों से एक अक़्द में किया तो जिस को बता दिया था उस का हो गया (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– वकील से कहा उस से मेरा निकाह करदे बाद को मालूम हुआ कि वह शौहर वाली है फ़िर उस औरत का शौहर मर गया या उस ने तलाक़ दे दी और इद्दत भी गुज़र गई अब वकील ने उस से निकाह कर दिया तो हो गया (ख़ानिया)

मसअला :– वकील से कहा मेरी क़ौम की औरत से निकाह कर दे उस ने दूसरी क़ौम की औरत से किया जाइज़ न हुआ (आलमगीरी 293)

मसअला :– वकील से कहा इतने महर पर निकाह कर दे और उस में इतना मुअज्जल हो वकील ने महर तो वही रखा मगर मुअज्जल की मिक़दार बढ़ादी तो निकाह शौहर की इजाज़त पर मौकूफ़ रहा और अगर शौहर को इल्म हो गया और औरत से वती की तो इजाज़त हो गई और ला इल्मी में की तो नहीं। (आलमगीरी 296)

मसअला :– किसी को भेजा कि फ़ुलानी से मेरी मंगनी कर आ वकील ने जाकर उस से निकाह

कर दिया होगया और अगर वकील से कहा फ़ुलाँ की लड़की से मेरी मंगनी कर दे उस ने लड़की के बाप से कहा अपनी लड़की मुझे दे उस ने कहा दी अब वकील कहता है मैं ने उस लफ़्ज़ से अपने मुवक्किल का निकाह मुराद लिया था अगर वकील का लफ़्ज़ मंगनी के तौर पर था और लड़की के बाप का जवाब भी अ़क़्द के तौर पर न था तो निकाह न हुआ और अगर जवाब अ़क़्द के तौर पर था तो निकाह होगया मगर वकील से हुआ मुविक्कल से न हुआ और अगर वकील और लड़की के बाप ने मुवक्किल से निकाह के मुतअ़ल्लिक़ बात चीत हो चुकने के बाद लड़की के बाप ने कहा मैं ने अपनी लड़की का निकाह इतने महर पर कर दिया यह न कहा कि किस से वकील से या मुवक्किल से वकील ने कहा मैंने कबूल की तो लड़की का निकाह उस वकील से होगया(आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– यह बात तो पहले बता दी गई है कि निकाह के वकील को यह इख़्तियार नहीं कि वह दूसरे से निकाह पढ़वा दे हाँ अगर औ़रत ने वकील से कहदिया कि तू जो कुछ करे मनज़ूर है तो अब वकील दूसरे को वकील कर सकता है यानी दूसरे से पढ़वा सकता है और अगर दो शख़्सों को मर्द या औ़रत ने वकील बनाया उन में एक ने निकाह कर दिया जाइज़ नहीं (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– औ़रत ने निकाह का किसी को वकील बनाया या फिर उस ने बतौर ख़ुद निकाह कर लिया तो वकील की वकालत जाती रही वकील को उस का इल्म हुआ या न हुआ और अगर उस ने वकालत से मअ्ज़ूल किया तो जब तक वकील को उस का इल्म न हो मअ्ज़ूल न होगा यहाँ तक कि मअ्ज़ूल करने के बाद वकील को इल्म न हुआ था उस ने निकाह कर दिया हो गया और अगर मर्द ने किसी ख़ास औ़रत से निकाह का वकील किया था फिर मुवक्किल ने उस औ़रत की माँ या बेटी से निकाह कर लिया तो वकालत ख़त्म हो गई (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– जिस के निकाह में चार औ़रतें मोजूद हैं उस ने निकाह का वकील किया तो यह वकालत मुअ़त्तल रहेगी जब उन में से कोई बाइन हो जाये उस वक़्त वकील अपनी वकालत से काम ले सकता है (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– किसी की ज़ुबान बन्द हो गई उस से किसी ने पूछा तेरी लड़की के निकाह का वकील हो जाऊँ उस ने कहा हाँ हाँ, उस के सिवा कुछ न कहा और वकील ने निकाह कर दिया सही़ह न हुआ (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– जिस मज्लिस में ईजाब हुआ अगर उसी में कबूल न हुआ तो वह ईजाब बातिल हो गया बाद मज्लिस कबूल करना बेकार है और यह हुक्म निकाह के साथ ख़ास नहीं बल्कि बैअ़ वग़ैरा तमाम उ़कूद का यही हुक्म है मसलन मर्द ने लोगों से कहा गवाह हो जाओ मैं ने फ़ुलानी औ़रत से निकाह किया और औ़रत को ख़बर पहुँची उस ने जाइज़ कर दिया तो निकाह न हुआ या औ़रत ने कहा गवाह हो जाओ कि मैंने फ़ुलाँ शख़्स से जो मौजूद नहीं है निकाह किया और उसे जब ख़बर पहुँची तो जाइज़ कर दिया निकाह न हुआ (दुर्रे मुख़्तार स 353)

मसअ्ला :– पाँच सूरतों में एक शख़्स का ईजाब काइम मक़ाम कबूल के भी होगा 1. दोनों का वली हो मसलन यह कहे मैंने अपने बेटे का निकाह अपनी भतीजी से कर दिया या पोते का निकाह पोती से कर दिया 2. दोनों का वकील हो मसलन मैंने अपने मुवक्किल का निकाह अपनी मुवक्किला से कर दिया और उस सूरत में हो सकता है कि जो दो गवाह मर्द के वकील करने के हों वही औ़रत

के वकील बनाने के हों और वही निकाह के भी गवाह हों 3. एक तरफ़ से असील दूसरी तरफ़ से वकील मसलन औरत ने उसे वकील बनाया कि मेरा निकाह तू अपने साथ कर ले उस ने कहा मैंने अपनी मुवक्किला का निकाह अपने साथ किया 4. एक तरफ़ से असील हो दूसरी तरफ़ से वली मसलन चचा ज़ाद नाबालिग़ा बहन से अपना निकाह करे और उस लड़की का यही वली अक़रब भी है और अगर बालिग़ा हो और बग़ैर इजाज़त उस से निकाह किया तो अगर्चे जाइज़ कर दे निकाह बातिल है 5. एक तरफ़ से वली हो दूसरी तरफ़ से वकील मसलन अपनी लड़की का निकाह अपने मुवक्किल से करे 1. और अगर एक शख़्स दोनों तरफ़ से फ़ुज़ूली हो 2. या एक तरफ़ से फ़ुज़ूली हो दूसरी तरफ़ से वकील 3. या एक तरफ़ से फ़ुज़ूली हो दूसरी तरफ़ से वली या एक तरफ़ से फ़ुज़ूली हो दूसरी तरफ़ से असील तो उन चारों सूरतों में ईजाब व क़बूल दोनों नहीं कर सकता अगर किया तो निकाह न हुआ (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– फ़ुज़ूली ने ईजाब किया और क़बूल करने वाला कोई दूसरा है जिस ने क़बूल किया ख़्वाह वह असील हो या वकील या वली या फ़ुज़ूली तो यह अ़क़्द इजाज़त पर मौक़ूफ़ रहा जिस की तरफ़ से फ़ुज़ूली ने ईजाब या क़बूल किया उस ने जाइज़ कर दिया जाइज़ होगया और रद कर दिया बातिल हो गया (आलमगीरी)

मसअला :– फ़ुज़ूली ने जो निकाह किया उस की इजाज़त क़ौल व फ़ेल दोनों से हो सकती है मसलन कहा तुम ने अच्छा किया या अल्लाह हमारे लिए मुबारक करे या तूने ठीक किया और अगर उस के कलाम से साबित होता है कि इजाज़त के अल्फ़ाज़ इस्तिहज़ा मज़ाक़ के तौर पर कहे तो इजाज़त नहीं इजाज़ते फ़ेअ़्ली मसलन महर भेज देना उस के साथ ख़लवत करना (आलमगीरी)

मसअला :– फ़ुज़ूली ने निकाह किया और मर गया उस के मरने के बाद जिस की इजाज़त पर मौक़ूफ़ था उस ने इजाज़त दी सहीह हो गया अगर्चे दोनों तरफ़ से दो फ़ुज़ूलियों ने ईजाब व क़बूल किया हो और फ़ुज़ूली ने बैअ़् की हो तो उस के मरने के बाद जाइज़ नहीं कर सकता(दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार 356)

मसअला :– फ़ुज़ूली अपने किये हुए निकाह को फ़स्ख़ करना चाहे तो नहीं कर सकता न क़ौल से फ़स्ख़ कर सकता है मसलन कहे मैंने फ़स्ख़ कर दिया न फ़ेअ़्ल से मसलन उसी शख़्स का निकाह उस औरत की बहन से करदिया तो पहला फ़स्ख़ न होगा और अगर फ़ुज़ूली ने मर्द की बिग़ैर इजाज़त निकाह कर दिया उस के बाद उसी शख़्स ने उस फ़ुज़ूली को वकील किया कि मेरा किसी औरत से निकाह कर दे उस ने उस पहली औरत की बहन से निकाह किया तो पहला फ़स्ख़ हो गया और कहता कि मैंने फ़स्ख़ किया तो फ़स्ख़ न होता (ख़ानिया)

मसअला :– फ़ुज़ूली ने चार औरतों से एक अ़क़्द में किसी का निकाह कर दिया उस ने उन में से एक को तलाक़ दे दी तो बाक़ीयों के निकाह की इजाज़त हो गई और पाँच औरतों से मुतफ़र्रिक़ अ़क़्द के साथ निकाह किया तो शौहर को इख़्तियार है कि उन में से चार को इख़्तियार कर ले और एक को छोड़ दे (आलमगीरी)

मसअला :– गुलाम और बाँदी का निकाह मौला की इजाज़त पर मौक़ूफ़ रहता है वह जाइज़ कर दे तो जाइज़ रद कर दे तो बातिल ख़्वाह मुदब्बर हो या मुकातिब या उम्मे वलद या वह गुलाम जिस में का कुछ हिस्सा आज़ाद हो चुका और बाँदी को जो महर मिलेगा उस का मालिक मौला है मगर मुकातिबा और जिस बाँदी का बाज़ आज़ाद हुआ है उन को जो महर मिलेगा उन्हीं का होगा।(ख़ानिया)

महर का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِیْضَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیْمَا تَرٰضَیْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِیْضَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِیْمًا حَكِیْمًا ؕ

तर्जमा :—"जिन औरतों से निकाह करना चाहो उन के महर मुक़र्रर शुदा उन्हें दो और क़रार दाद के बाद तुम्हारे आपस में जो रज़ा मन्दी हो जाये उस में कुछ गुनाह नहीं बेशक अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है"

और फ़रमाता है:—

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِیْٓـًٔا مَّرِیْٓـًٔا ؕ

तर्जमा :— "औरतों को उन के महर ख़ुशी से दो फिर अगर वह ख़ुशी दिल से उस में से कुछ तुम्हें दे दें तो उसे खाओ रचता पचता"

और फ़रमाता है:—

لَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِیْضَةً ۚۖ وَّ مَتِّعُوْهُنَّ ۚ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِیْنَ ۝ وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّاۤ اَنْ یَّعْفُوْنَ اَوْ یَعْفُوَا الَّذِیْ بِیَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ؕ وَ اَنْ تَعْفُوْۤا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ؕ وَ لَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ ۝

तर्जमा :— " तुम पर कुछ मुतालबा नहीं अगर तुम औरतों को तलाक़ दो जब तक तुम ने उन को हाथ न लगाया हो या महर न मुक़र्रर किया हो और उन को कुछ बरतने को दो मालदार पर उस के लाइक़ और तंग दस्त पर उस के लाइक़ हस्बे दस्तूर बरतने की चीज़ वाजिब है भलाई वालों पर और अगर तुम ने औरतों को हाथ लगाने से पहले तलाक़ देदी और उन के लिए महर मुक़र्रर कर चुके थे तो जिनता मुक़र्रर किया उस का निस्फ़ वाजिब है मगर यह कि औरतें मुआफ़ कर दें या वह ज़्यादा दे जिस के हाथ में निकाह की गिरह है और ऐ मर्द तुम्हारा ज़्यादा देना परहेज़गारी से ज़्यादा नज़्दीक़ है और आपस में एहसान करना न भूलो बेशक अल्लाह तुम्हारा काम देख रहा है"।

हदीस न.1 :— सहीह मुस्लिम शरीफ़ में है अबू सलमा कहते हैं मैंने उम्मुलमोमेनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से सवाल किया कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का महर कितना था फ़रमाया हुज़ूर का महर अज़वाजे मुतहरात के लिए साढ़े बारह औक़ीया था यानी पाँच सौ दिरहम।

हदीस न.2 :— अबू दाऊद व निसाई उम्मुलमोमिनीन उम्मे हबीब रदियल्लाहु तआला अन्हा से रावी कि नजाशी ने उन का निकाह नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ किया और चार हज़ार महर के हुज़ूर की तरफ़ से ख़ुद अदा किए और शरहबील इब्ने हसन रदियल्लहु तआला अन्हु के हमराह उन्हें हुज़ूर की ख़िदमत में भेज दिया।

हदीस न.3 :— अबू दाऊद तिर्मिज़ी व निसाई व दारमी रावी कि अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से सवाल हुआ कि एक शख़्स ने निकाह किया और महर कुछ नहीं बँधा और दुख़ूल से पहले उस का इन्तिक़ाल हो गया इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया औरत को महर मिस्ल मिलेगा न कम न ज़्यादा और उस पर इद्दत है और उसे मीरास मिलेगी मअ़क़ल इब्ने

सनान अशजई रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि बरूअ् बिन्ते वाशिक के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही हुक्म फ़रमाया था यह सुन कर इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु खुश हुए

हदीस न.4 :– हाकिम व बैहक़ी उक़बा इब्ने आमिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया बेहतर वह महर है जो आसान हो।

हदीस न.5 :– अबूयअ्ला व तबरानी सुहैब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर ने फरमाया जो शख़्स निकाह करे और नीयत यह हो कि औरत को महर में से कुछ न देगा तो जिस रोज़ मरेगा ज़ानी मरेगा और जो किसी से कोई शय ख़रीदे और यह नियत हो कि क़ीमत में से उसे कुछ न देगा तो जिस दिन मरेगा खाइन मरेगा और खाइन नार(जहन्नुम) में है।

मसाइल फ़िक़हिया

महर कम से कम दस दिरम है उस से कम नहीं हो सकता जिस की मिक़दार आजकल के हिसाब से 2 रूपये 12 आने 9 $\frac{3}{5}$ पाई है ख़्वाह सिक्का हो या वैसी ही चान्दी या उस क़ीमत का कोई सामान अगर दिरहम के सिवा कोई और चीज़ महर ठहरी तो उस की क़ीमत अक़्द के वक़्त दस दिरहम से कम न हो और अगर उस वक़्त तो उसी क़ीमत की थी मगर बाद में क़ीमत कम हो गई तो औरत वही पायेगी फेरने का उसे हक़ नहीं और अगर उस वक़्त दस दिरहम से कम क़ीमत की थी और जिस दिन क़ब्ज़ा किया क़ीमत बढ़ गई तो अक़्द के दिन जो कमी थी वह ले लेगी मसलन उस रोज़ उस की क़ीमत आठ दिरहम थी और आज दस दिरहम है तो औरत वह चीज़ लेगी और दो दिरहम और अगर उस चीज़ में कोई नुक़सान आ गया तो औरत को इख़्तियार है कि दस दिरहम ले या वह चीज़ (आलमगीरी वग़ैरा)

नोट :– ऊपर जो दस दिरहम की क़ीमत रूपयों में दी गई यह उस वक़्त की है जब बहारे शरीअ़त उर्दू तस्नीफ़ की गई थी मगर अज के हिसाब से यह क़ीमत सही नहीं सही यह है कि दस दिरहम की क़ीमत आज के ज़माने में रूपयों में जो होगी वही कम से कम महर की मिक़दार है(क़ादरी)

मसअ्ला :– निकाह में दस दिरहम या उस से कम महर बाँधा गया तो दस दिरहम वाजिब और ज़्यादा बाँधा हो तो जो मुक़र्रर हुआ वाजिब (मुतून)

मसअ्ला :– वती या ख़लवते सहीहा या दोनों में से किसी की मौत हो इन सब से महर मुअक्कद हो जाता है कि जो महर है अब उस में कमी नहीं हो सकती **यूहीं** अगर औरत को तलाक़ बाइन दी थी और इद्दत के अन्दर उस से फिर निकाह कर लिया तो यह महर बग़ैर दुख़ूल वग़ैरा के मुअक्कद हो जायेगा हाँ अगर साहिबे हक़ ने कुल या जुज़ मुआफ़ कर दिया तो मुआफ़ हो जायेगा **और अगर** महर मुअक्कद न हुआ था और शौहर ने तलाक़ दे दी तो निस्फ़ (आधा) वाजिब होगा और अगर तलाक़ से पहले पूरा महर अदा कर चुका था तो निस्फ़ तो औरत का हुआ ही और निस्फ़ शौहर को वापस मिलेगा मगर उस की वापसी में शर्त यह है कि या औरत अपनी ख़ुशी से फेर दे या क़ाज़ी ने वापसी का हुक्म दे दिया हो और यह दोनों बातें न हों तो शौहर का तसर्रुफ़ उस में नाफ़िज़ न होगा मसलन उस को बेचना हिबा करना तसद्दुक(सदक़ा) करना चाहे तो नहीं कर सकता और अगर वह महर ग़ुलाम है तो शौहर उस को आज़ाद नहीं कर सकता और क़ाज़ी के हुक्म से पेशतर औरत उस में हर किस्म का तसर्रुफ़ कर सकती है मगर क़ाज़ी के हुक्म बाद उसकी आधी क़ीमत

देनी होगी और अगर महर में ज़्यादती हो मसलन गाय, भैंस, वग़ैरा कोई जानवर महर में था उस के बच्चा हुआ या दरख़्त था उस में फ़ल आये या कपड़ा था रंगा गया या मकान था उस में कुछ नई तअ्मीर हुई या ग़ुलाम था उस ने कुछ कमाया तो अगर ज़ौजा के क़ब्ज़ा से पहले उस महर में [1]ज़्यादती मुतवल्लिद है उस के आधे की औरत मालिक है और आधे का शौहर मालिक वरना कुल ज़्यादती की भी औरत ही मालिक है (दुर्रेमुख़्तार स 358 रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जो चीज़ माले मुतक़व्विम (क़ाइम व मौजूद रहने वाला माल) नहीं वह महर नहीं हो सकती और महर मिस्ल वाजिब होगा मसलन महर यह ठहरा कि आज़ाद शौहर औरत की साल भर तक ख़िदमत करेगा या यह कि उसे क़ुर्आन मजीद या इल्मे दीन पढ़ा देगा या हज वग़ैरा करा देगा या मुसलमान मर्द का निकाह मुसलमान औरत से हो और महर में ख़ून या शराब या ख़िन्ज़ीर का ज़िक्र आया यह कि शौहर अपनी पहली बीवी को तलाक़ दे दे तो इन सब सूरतों में महर मिस्ल वाजिब होगा (दुर्रे मुख़्तार 362)

मसअ्ला :– अगर शौहर ग़ुलाम है और एक मुद्दते मुअ्य्यना तक औरत की ख़िदमत करना महर ठहरा और मालिक ने उस की इजाज़त भी दे दी हो तो सहीह वरना अक़्दे सहीह नहीं आज़ाद शख़्स औरत के मौला या वली कि ख़िदमत करेगा या शौहर का ग़ुलाम या उस की बाँदी औरत की ख़िदमत करेगी तो यह महर सहीह है (दुर्रे मुख़्तार स 363 वग़ैरा)

मसअ्ला :– अगर महर में किसी दूसरे आज़ाद शख़्स का ख़िदमत करना ठहरा तो अगर न उस की इजाज़त से ऐसा हुआ न उस ने जाइज़ रखा तो उस ख़िदमत की क़ीमत महर है और अगर उस के हुक्म से हुआ और ख़िदमत वह है जिस में औरत के पास रहना सहना होता है तो वाजिब है कि ख़िदमत न ले बल्कि उस की क़ीमत ले और अगर वह ख़िदमत ऐसी नहीं तो ख़िदमत ले सकती है और अगर ख़िदमत की नोईयत मुअ्य्यन नहीं तो अगर उस क़िस्म की लेगी तो वह हुक्म है और इस क़िस्म की तो यह(फ़तहुल क़दीर)

मसअ्ला :– शिग़ार यानी एक शख़्स ने अपनी लड़की या बहन का निकाह दूसरे से कर दिया और दूसरे ने अपनी लड़की या बहन का निकाह उस से करदिया और हर एक का महर दूसरा निकाह है तो ऐसा करना गुनाह व मनअ् है और महर मिस्ल वाजिब होगा (दुर्रे मुख़्तार स 361)

मसअ्ला :– किसी शख़्स की तरफ़ इशारा कर के कहा कि मैंने बएवज़ इस ग़ुलाम के हालाँकि वह आज़ाद था या मटके की तरफ़ इशारा कर के कहा बएवज़ उस सिरका के और वह शराब है तो महरे मिस्ल वाजिब है यूँ अगर कपड़े या जानवर या मकान के एवज़ कहा और जिन्स नहीं बयान की यानी यह नहीं कहा कि फ़ुलाँ क़िस्म का कपड़ा या फ़ुलाँ जानवर तो महरे मिस्ल वाजिब है(दुर्रे मुख़्तार स 367)

मसअ्ला :– निकाह में महर का ज़िक्र ही न हुआ या महर की नफ़ी करदी कि बिला महर निकाह किया तो निकाह हो जायेगा और अगर ख़लवते सहीहा होगई या दोनों में से कोई मर गया तो महर मिस्ल वाजिब है बशर्ते कि बादे अक़्द आपस में कोई महर तै न पागया हो और अगर तै हो चुका तो वही तै शुदा है यूँही अगर क़ाज़ी ने मुक़र्रर कर दिया तो जो मुक़र्रर कर दिया वह है और उन दोनों सूरतों में महर जिस चीज़ से मुअक्कद होता है मुअक्कद हो जायेगा और मुअक्कद न हुआ बल्कि ख़लवते सहीहा से

(1) ज़्यादत दो क़िस्म है मुतवल्लिदा(पैदा होने वाली)और ग़ैर मुतवल्लिदा(पैदा न होने वाली ज़्यादती) और हर एक दो क़िस्म मुत्तसिला व मुन्फ़सिला मुतवल्लिदा मुत्तसिला मसलन दरख़्त के फल जबकि दरख़्त मे लगे हो मुतवल्लिदा मुन्फ़सिला मसलन जानवर का बच्चा या टूटे हुऐ फ़ल ग़ैर मुतवल्लिदा मुत्तसिला जैसे कपड़े को रंगना या मकान में तअ्मीर ग़ैर मुतवल्लिदा मुनफ़सिला जैसे ग़ुलाम ने कुछ कमाया और हर एक औरत के क़ब्ज़े से पेशतर है या बाद तो यह सब आठ क़िस्में हुई और तनसीफ़ (आधा करना) सिर्फ़ ज़्यादत मुतवल्लिदा क़ब्लुलक़ब्ज़ (क़ब्ज़े से पहले) की है बाक़ी की नहीं (रद्दुल मुहतार)

पहले तलाक़ होगई तो उन दोनों सूरतों में भी एक जोड़ा कपड़ा वाजिब है यानी कुर्ता पाजामा, दोपट्टा जिस की क़ीमत निस्फ़ महरे मिस्ल से ज़्यादा न हो और ज़्यादा हो तो महरे मिस्ल का निस्फ़ दिया जाये अगर शौहर मालदार हो और ऐसा जोड़ा भी न हो जो पाँच दिरहम से कम क़ीमत का हो अगर शौहर मोहताज हो अगर मर्द व औरत दोनों मालदार तो जोड़ा अअ्ला दरजा का हो और दोनों मोहताज हों तो मअ्मूली और एक मालदार हो एक मोहताज तो दरमियानी (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी 364)

मसअ्ला :— जोड़ा देना उस वक़्त वाजिब है जब फ़ुर्क़ते ज़ौज शौहर की जानिब से हो मसलन तलाक़, ईला, लिआन, नामर्द होना, शौहर का मुरतद होना औरत की माँ या लड़की को शहवत के साथ बोसा देना और अगर फ़ुर्क़त जानिबे ज़ौजा (बीवी)से हो तो वाजिब नहीं मसलन औरत का मुरतद हो जाना या शौहर के लडके को बशहवत बोसा देना सौत को दूध पिला देना बुलूग़ या आज़ादी के बाद अपने नफ़्स को इख़्तियार करना यूँही अगर ज़ौजा कनीज़ थी शौहर ने या उस के वकील ने मौला से ख़रीद ली तो अब वह जोड़ा साक़ित होगया और अगर मौला ने किसी और के हाथ बेची उस से ख़रीदी तो वाजिब है (आलमगीरी)

मसअ्ला :— जोड़े की जगह अगर क़ीमत दे दे तो यह भी हो सकता है और औरत क़बूल करने पर मजबूर की जायेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :— जिस औरत का महर मुअ़य्यन है और ख़लवत से पहले उसे तलाक़ दे दी गई उसे जोड़ा देना मुस्तहब भी नहीं और दुख़ूल के बाद तलाक़ हुई तो महर मुअ़य्यन हो या न हो जोड़ा देना मुस्तहब है (दुर्रे मुख़्तार स 365)

मसअ्ला :— महर मुक़र्रर हो चुका था बाद में शौहर या उस के वली ने कुछ मिक़दार बढ़ादी तो यह मिक़दार भी शौहर पर वाजिब होगई बशर्ते कि उसी मज्लिस में औरत ने या नाबालिग़ा हो तो उस के वली ने क़बूल करली हो और ज़्यादती की मिक़दार मालूम हो और ज़्यादती की मिक़दार मुअ़य्यन न की हो तो कुछ नहीं मसलन कहा मैंने तेरे महर में ज़्यादती करदी और यह न बताया कि कितनी उस के सहीह होन के लिए गवाहों की भी हाजत नहीं हाँ अगर शौहर इन्कार करदे तो सुबूत के लिए गवाह दरकार होंगे अगर औरत ने महर मुआफ़ कर दिया या हिबा कर दिया है जब भी ज़्यादती हो सकती है (दुर्रे मुख़्तार, स 365 रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :— पहले ख़ुफ़्या निकाह हुआ और एक हज़ार का महर बाँधा फिर अलानिया एक हज़ार पर निकाह हुआ तो दो हज़ार वाजिब हो गये और अगर महज़ एहितयातन तजदीदे निकाह की तो दोबारा निकाह का महर वाजिब न हुआ और अगर महर अदा कर चुका था फिर औरत ने हिबा करदिया फिर उसके बाद शौहर ने इक़रार किया कि उस का मुझ पर इतना है तो मिक़दार लाज़िम होगई ख़्वाह यह इक़रार बक़स्द ज़्यादती हो या नहीं (दुर्रे मुख़्तार, स 366 ख़ानिया)

मसअ्ला :— महर मुक़र्रर शुदा पर शौहर ने इज़ाफ़ा किया मगर ख़लवते सहीहा से पहले तलाक़ दीतो अस्ल महर का निस्फ़ औरत पायेगी उस इज़ाफ़ा का भी निस्फ़ लेना चाहे तो नहीं मिलेगा (दुर्रे मुख़्तार स 366)

मसअ्ला :— औरत कुल महर या जुज़ मुआफ़ करे तो मुआफ़ हो जायेगा बशर्ते कि शौहर ने इन्कार न करदिया हो (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— और अगर वह औरत नाबालिग़ा है और उसका बाप मुआफ़ करना चाहता है तो नहीं

कर सकता और बालिग़ा है तो उसकी इजाज़त पर मुआफ़ मौकूफ़ है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ख़लवते सहीहा यह है कि ज़ौज ज़ौजा(मियाँ बीवी)एक मकान में जमअ हों और कोई चीज़ मानेअ् जिमाअ् (जिमाअ् से रोकने वाली कोई चीज़) न हो यह ख़लवत जिमाअ् ही के हुक्म में है और मवानेअ् तीन हैं 1–**हिस्सी 2–शरई 3–तबई मानेअ् हिस्सी** जैसे मर्ज़ कि शौहर बीमार है तो मुतलकन ख़लवते सहीहा न होगी और ज़ौजा बीमार है तो उस हद की बीमार हो कि वती से ज़रर (नुकसान) का अन्देशा सहीह हो और ऐसी बीमारी न हो तो ख़लवत सहीहा हो जायेगी। **मानेअ् तबई** जैसे वहाँ किसी तीसरे का होना अगर्चे वह सोता हो या नाबीना हो उस की दूसरी बीवी हो या दोनों में किसी की बाँदी हो हाँ अगर इतना छोटा बच्चा कि किसी के सामने बयान न कर सकेगा तो उस का होना मानेअ् नहीं यानी ख़लवते सहीहा हो जायेगी मजनून व मअ्तूह बच्चा के हुक्म में हैं अगर अक़्ल कुछ रखते हैं तो ख़लवत न होगी वरना हो जायेगी और अगर वह शख़्स बेहोशी में हैं तो ख़लवत हो जायेगी अगर वहाँ औरत का कुत्ता है तो ख़लवते सहीहा न होगी और अगर मर्द का है और कटखना है जब भी न होगी वरना हो जायेगी **मानेअ् शरई** मसलन औरत हैज़ या निफ़ास में है या दोनों में कोई मुहरिम हो एहराम फ़र्ज़ का हो या नफ़्ल का हज का हो या उमरा का या उन में किसी का रमज़ान का रोज़ा–ए–अदा हो या नमाज़ फ़र्ज़ में हो उन सब सूरतों में ख़लवते सहीहा न होगी और अगर नफ़्ल या नज़र या कफ़्फ़ारा या क़ज़ा का रोज़ा हो या नफ़्ली नमाज़ हो तो यह चीज़ें ख़लवते सहीहा से मानेअ् (रोकने वाली) नहीं और अगर दोनों एक जगह तनहाई में जमअ् हुए मगर कोई मानेअ् शरई या तबई या हिस्सी पाया जाता है तो ख़लवत फ़ासिदा है(आलमगीरी ,दुर्रे मुख़्तार स 367 वग़ैरा हुमा)

मसअ्ला :– औरत मर्द के पास तन्हाई में गई मर्द ने उसे न पहचाना थोड़ी देर ठहर कर चली आई या मर्द औरत के पास गया और उसे नहीं पहचाना चला आया तो ख़लवत सहीहा न हुई लिहाज़ा अगर ख़लवत सहीहा का दअ्वा करे और मर्द यह उज़्र पेश करे तो मान लिया जायेगा और अगर मर्द ने पहचान लिया और औरत ने न पहचाना तो ख़लवते सहीहा हो गई (जौहरा तबईन)

मसअ्ला :– लड़का जो उस क़ाबिल नहीं कि सोहबत कर सके मगर अपनी औरत के साथ तन्हाई में रहा या ज़ौजा इतनी छोटी लड़की है कि उस क़ाबिल नहीं उस के साथ उस का शौहर रहा तो दोनों सूरतों में ख़लवते सहीहा न हुई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत के अन्दामे नहानी (शर्मगाह) में कोई ऐसी चीज़ पैदा होगई जिस की वजह से वती नहीं हो सकती मसलन वहाँ गोश्त आगया या मकाम जुड़ गया या हड्डी पैदा हो गई या ग़दूद हो गया तो इन सब सूरतों में ख़लवते सहीहा नहीं हो सकती (दुर्रे मुख़्तार 367)

मसअ्ला :– जिस जगह इज़तिमाअ् (इकटठे हुए)हुआ वह जगह इस क़ाबिल नहीं कि वहाँ वती की जाये तो ख़लवत सहीहा न होगी मसलन मस्जिद अगर्चे अन्दर से बन्द हो और रास्ता और मैदान और हम्माम में जबकि उस में कोई हो या उस का दरवाज़ा खुला हो और अगर बन्द हो तो हो जायेगी और जिस छत पर परदा की दीवार न हो या टाट वग़ैरा मोटी चीज़ का परदा न हो या है मगर इतना नीचा है कि अगर कोई खड़ा हो तो उन दोनों को देख ले तो उस पर भी न होगी वरना हो जायेगी और अगर मकान ऐसा है जिस का दरवाज़ा खुला हुआ कि अगर कोई बाहर खड़ा हो तो

उन दोनों को देख सके या यह अन्देशा है कि कोई आजाये तो ख़लवते सहीहा न होगी(जोहरा दुर्रे मुख़्तार स363)
मसअ्ला :– ख़ेमा में हो जायेगी यूँही बाग़ में अगर दरवाज़ा है और वह बन्द है तो हो जायेगी वरना नहीं और महमल अगर इस क़ाबिल है कि उस में सोहबत हो सके तो हो जायेगी वरना नहीं।(जोहरा आलमगीरी)
मसअ्ला :– शौहर का उज़्वे तनासुल कटा हुआ है या उन्सयैन निकाल लिए गये हैं या इन्नीन है या ख़ुन्सा है और उस का मर्द होना ज़ाहिर हो चुका तो उन सब में ख़लवते सहीहा हो जायेगी(दुर्रे मुख़्तार 366)
मसअ्ला :– ख़लवते सहीहा के बाद औरत को तलाक़ दी तो महर पूरा वाजिब होगा जबकि निकाह भी सहीह हो और अगर निकाह फ़ासिद है यअ्नी निकाह की कोई शर्त मफ़क़ूद (न पाया जाना)है मसलन बिग़ैर गवाहों के निकाह हुआ, दो बहनों से एक साथ निकाह किया या औरत की इद्दत में उस की बहन से निकाह किया या जो औरत किसी की इद्दत में है उस से निकाह किया या चौथी की इद्दत में पाँचवीं से निकाह किया या हुर्रा निकाह में होते हुए बान्दी से निकाह किया तो उन सब सूरतों में फ़क़त ख़लवत से वाजिब नहीं। बल्कि अगर वती हुई तो महर मिस्ल वाजिब होगा और महर मुक़र्रर न था तो ख़लवते सहीहा से निकाह सहीह में महर मिस्ल मुअक्कद हो जायेगा ख़लवते सहीहा के यह अहकाम भी हैं तलाक़ दी तो औरत पर इद्दत वाजिब बल्कि इद्दत में नान व नफ़्क़ा और रहने को मकान देना भी वाजिब है (1)बल्कि निकाहे सहीह में इद्दत तो मुतलक़न ख़लवत से वाजिब होती है सहीहा हो या फ़ासिदा अल्बत्ता निकाह फ़ासिद हो तो बग़ैर वती के इद्दत वाजिब नहीं (2) ख़लवत का यह हुक्म भी है कि जब तक इद्दत में है उसकी बहन से निकाह नहीं कर सकता (3) और उस के अलावा चार औरतें निकाह में नहीं हो सकतीं अगर (4)वह आज़ाद है तो उसकी इद्दत में बाँदी से निकाह नहीं कर सकता और(5)उस औरत को जिस से ख़लवत सहीहा हुई उस ज़माना में तलाक़ दे जो मोतूहा के तलाक़ का ज़माना है और (6)इद्दत में उसे तलाक़ बाइन दे सकता है मगर उस से रजअ्त नहीं कर सकता न तलाके रजई देने के बाद फ़क़त ख़लवते सहीहा से रजअ्त हो सकती है और (7) उस की इद्दत के ज़माने में शौहर मरगया तो वारिस न होगी (8) ख़लवत से जब महर मुअक्कद हो चुका तो अब साक़ित न होगा अगर्चे जुदाई औरत की जानिब से हो (जौहरा, दुर्रे मुख़्तार)
मसअ्ला :– अगर मियाँ बीवी में तफ़रीक़ हो गई मर्द कहता है ख़लवत न हुई औरत कहती है हो गई तो औरत का क़ौल मोअ्तबर है और अगर ख़लवत हुई मगर औरत मर्द के क़ाबू में न आई अगर कुँवारी है महर पूरा वाजिब होजायेगा अगर सय्यब है तो महर मुअक्कद न हुआ (दुर्रे मुख़्तार)
मसअ्ला :– जो रक़म महर की मुक़र्रर हुई वह शौहर ने औरत को दे दी औरत ने क़ब्ज़ा कर ने के बाद शौहर को हिबा कर दी और क़ब्ल वती के तलाक़ हुई तो शौहर निस्फ़ उस रक़म को औरत से और वुसूल करेगा और अगर बग़ैर क़ब्ज़ा किए कुल को हिबा कर दिया या सिर्फ़ निस्फ़ पर क़ब्ज़ा किया और कुल को हिबा कर दिया या निस्फ़ बाक़ी को तो अब कुछ नहीं ले सकता हाँ अगर क़ब्ज़ा करने के बाद उसे ऐबदार कर दिया और ऐब भी बहुत है उस के बाद हिबा किया तो जिस दिन क़ब्ज़ा किया उस दिन उस चीज़ की जो क़ीमत थी उस का निस्फ़ शौहर वुसूल करेगा और अगर औरत ने शौहर के हाथ वह चीज़ बेच डाली जब भी निस्फ़ क़ीमत लेगा (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)
मसअ्ला :– ख़लवत से पहले ज़न व शौहर में एक ने दूसरे को या किसी दूसरे ने उन में किसी को मार डाला या शौहर ने ख़ुद कुशी कर ली या ज़ौजा हुर्रा ने ख़ुद कुशी करली तो महर पूरा वाजिब

होगा और अगर ज़ौजा बाँदी थी उस ने ख़ुद कुशी कर ली तो नहीं यूँही अगर उस के मौला ने जो आक़िल बालिग़ है उस कनीज़ को मार डाला तो महर साक़ित हो जायेगा और अगर नाबालिग़ या मजनून था तो साक़ित न हुआ (आलमगीरी)

महरे मिस्ल का बयान

मसअला :– औरत के ख़ान्दान की उस जैसी औरत का जो महर हो वह उस के लिए महरे मिस्ल है मसलन उस की बहन, फूफी, चचा की बेटी वग़ैरहा का महर उस की माँ का महर उस के लिए महर मिस्ल नहीं जब कि वह दूसरे घराने की हो और अगर उस की माँ उसी ख़ान्दान की हो मसलन उस के बाप की चचा ज़ाद बहन है तो उस का महर उस के लिये महरे मिस्ल है और वह औरत जिस का महर उस के लिए महर मिस्ल है वह किन उमूर में उस जैसी हो उन की तफ़सील यह है 1.उम्र, 2.जमाल, 3.माल में मुशाबह हों 4.दोनों एक शहर में हों 5.एक ज़माना हो 6.अक़्ल 7.तमीज़ 8.दियानत 9.पारसाई 10.इल्म 11.अदब में यकसाँ हों दोनों 12.कुँवारी हों या दोनों सय्यब 13.औलाद होने न होने में एक सी हों कि उन चीज़ों के इख़्तिलाफ़ से महर में इख़्तिलाफ़ होता है शौहर का हाल भी मलहूज़ होता है मसलन जवान और बूढ़े के महर में इख़्तिलाफ़ होता है अक़्द के वक़्त उन उमूर में यकसाँ होने का एअ्तिबार है बाद में किसी बात की कमी बेशी हुई तो उस का एअ्तिबार नहीं मसलन एक का जब निकाह हुआ था उस वक़्त जिस हैसियत की थी दूसरी भी अपने निकाह के वक़्त उसी हैसियत की है मगर पहली में बाद को कमी होगई और दूसरी में ज़्यादती या बर अक्स हुआ तो उस का एअ्तिबार नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर उस ख़ान्दान में कोई ऐसी औरत न हो जिस का महर उस के लिए महरे मिस्ल हो सके तो कोइ दूसरा ख़ान्दान जो उस के ख़ान्दान के मिस्ल है उस में कोई औरत उस जैसी हो उस का महर उस के लिए महरे मिस्ल होगा (आलमगीरी)

मसअला :– महरे मिस्ल के सुबूत के लिए दो मर्द या एक मर्द और दो औरतें गवाहाने आदिल चाहिए जो लफ़्ज़े शहादत बयान करें और गवाह न हों तो शौहर का क़ौल क़सम के साथ मोअ्तबर है (आलमगीरी)

मसअला :– हज़ार रुपये का महर बाँधा गया इस शर्त पर कि उस शहर से औरत को नहीं ले जायेगा या उस के होते हुए दूसरा निकाह न करेगा तो अगर शर्त पूरी की तो वह हज़ार महर के हैं और अगर पूरी न की बल्कि उसे यहाँ से ले गया या उस की मौजूदगी में दूसरा निकाह कर लिया तो महरे मिस्ल है और अगर यह शर्त है कि यहाँ रखे तो एक हज़ार महर और बाहर लेजाये तो दो हज़ार और यहीं रखा तो वही एक हज़ार हैं और बाहर ले गया तो महरे मिस्ल वाजिब मगर महर मिस्ल अगर दो हज़ार से ज़्यादा है तो दो ही हज़ार पायेगी ज़्यादा नहीं और अगर महरे मिस्ल एक हज़ार से कम है तो पूरे एक हज़ार लेगी कम नहीं और अगर दुख़ूल से पहले तलाक़ हुई तो बहर सूरत जो मुक़र्रर हो उस का निस्फ़ लेगी यानी यहाँ रखा तो पाँचसौ और बाहर ले गया तो एक हज़ार यूहीं अगर कुँवारी और सय्यब में दो हज़ार और एक हज़ार की तफ़रीक़ थी तो सय्यब में एक हज़ार महर रहेगा और अगर कुँवारी साबित हुई तो महर मिस्ल, यह शर्त है कि ख़ुबसूरत है तो दो

हज़ार और बदसूरत है तो एक हज़ार अगर खूब सूरत है दो हज़ार लेगी और बद सूरत है तो एक हज़ार उस सूरत में महरे मिस्ल नहीं।(दुर्रे मुख़्तार वगैरा)

मसअ्ला :– निकाह फ़ासिद में जब तक वती न हो महर लाज़िम नहीं यानी ख़लवते सहीहा काफ़ी नहीं और वती हो गई तो महरे मिस्ल वाजिब है जो महर मुकर्रर से ज़ाइद न हो और अगर उस से ज़्यादा है तो जो मुकर्रर हुआ वही देंगे और निकाह फ़ासिद का हुक्म यह है कि उन में हर एक पर फ़स्ख़ कर देना वाजिब है उस की भी ज़रूरत नहीं कि दूसरे के सामने फ़स्ख़ करे और अगर खुद फ़स्ख़ न करें तो क़ाज़ी पर वाजिब है कि तफ़रीक़ कर दे और तफ़रीक़ हो गई या शौहर मर गया तो औरत पर इद्दत वाजिब है जबकि वती हो चुकी हो मगर मौत में भी इद्दत वही तीन हैज़ है चार महीने दस दिन नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– निकाहे फ़ासिद में तफ़रीक़ या मुतारका के वक़्त से इद्दत है अगर्चे औरत को उस की ख़बर न हो **मुतारका** यह है कि उसे छोड़दे मसलन यह कहे मैं ने उसे छोड़ा या चली जा या निकाह कर ले या कोई और लफ़्ज़ उसी के मिस्ल कहे और फ़क़त जाना, आना, छोड़ने,से मुतारका न होगा जब तक ज़ुबान से न कहे और लफ़्ज़े तलाक़ से भी मुतारका होजायेगा मगर इस तलाक़ से यह न होगा कि अगर फ़िर उस से निकाहे सहीह करे तो तीन तलाक़ का मालिक न रहे बल्कि निकाहे सहीह करने के बाद तीन तलाक़ का उसे इख़्तियार रहेगा निकाह से इन्कार कर बैठना मुतारका नहीं और अगर्चे तफ़रीक़ वगैरा में उस का वहाँ होना जरूर नहीं मगर किसी का जानना ज़रूरी है अगर किसी ने न जाना तो इद्दत पूरी न होगी (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– निकाहे फ़ासिद में नफ़का वाजिब नहीं अगर नफ़का पर मुसालिहत हुई जब भी नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– आज़ाद मर्द ने कनीज़ से निकाह करके फिर अपनी औरत को ख़रीद लिया तो निकाह फ़ासिद हो गया और गुलाम माज़ून ने अपनी ज़ौजा को ख़रीदा तो नहीं (आलमगीरी)

महरे मुसम्मा की सूरतें :–

मसअ्ला :– महरे मुसम्मा तीन क़िस्म का है अव्वल **मजहूलुलजिन्स वल वस्फ़** मसलन कपड़ा या चौपाया या मकान या बाँदी के पेट में जो बच्चा है या बकरी के पेट में जो बच्चा है या इस साल बाग़ में जितने फ़ल आयेंगे उन सब में महरे मिस्ल वाजिब है दोम **मअ्लूमुलजिन्स मजहूलुल वस्फ़** मसलन गुलाम या घोड़ा या गाय या बकरी उस सब में मुतवस्सित दरजा का वाजिब है या उस की क़ीमत सोम **जिन्से वस्फ़ दोनों** मालूम हों तो जो कहा वही वाजिब है (आलमगीरी वगैरा)

महर की ज़मानत

मसअ्ला :– औरत का वली उस के महर का ज़ामिन हो सकता है अगर्चे नाबालिग़ा हो अगर्चे खुद वली ने निकाह पढ़वाया हो मगर शर्त यह है कि वह वली मर्ज़ुलमौत में मुब्तला न हो अगर मर्ज़ुलमौत में है तो दो सूरतें हैं वह औरत उस की वारिस है तो किफ़ालत सहीह नहीं और अगर वारिस न हो तो अपने तिहाई माल में किफ़ालत कर सकता है **यूँहीं** शौहर का वली भी महर का ज़ामिन हो सकता है और उसमें भी वही शर्त है और वही सूरतें हैं और यह भी शर्त है कि औरत या उस का वली या फ़ुज़ूली उसी मज्लिस में क़बूल भी कर ले वरना किफ़ालत सहीह न होगी **और औरत** बालिग़ा हो तो जिस से चाहे मुतालबा करे शौहर से या ज़ामिन से अगर ज़ामिन से मुतालबा किया और उस ने दे दिया तो ज़ामिन शौहर से वुसूल करे अगर उस के हुक्म से ज़मानत की हो और अगर बतौर खुद ज़ामिन हो गया तो नहीं ले सकता और अगर शौहर नाबालिग़ है तो जब तक

बालिग़ न हो उस से मुतालबा नहीं कर सकती **और** अगर शौहर नाबालिग़ के बाप ने किफ़ालत की और महर दे दिया तो बेटे से नहीं वुसूल कर सकता हाँ अगर ज़ामिन होने के वक़्त यह शर्त लगा दी थी कि वुसूल कर लेगा तो अब ले सकता है (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ज़ैद ने अपनी लड़की का निकाह अ़म्र से दो हज़ार महर पर किया यूँ कि हज़ार मैं दूँगा और हज़ार अ़म्र पर और अ़म्र ने क़बूल भी कर लिया तो दोनों हज़ार अ़म्र पर हैं और ज़ैद हज़ार का ज़ामिन क़रार दिया जायेगा अगर औरत ने अपने बाप ज़ैद से ले लिया तो ज़ैद अ़म्र से वुसूल कर ले और अगर औरत ने ज़ैद के मरने के बाद उस के तरका में से हज़ार ले लिए तो ज़ैद के वुरसा अ़म्र से वुसूल करें (आलमगीरी)

मसअ्ला :– शौहर के बाप के कहने से किसी अजनबी ने ज़मानत कर ली फिर अदा करने से पहले बाप मरगया तो औरत को इख़्तियार है शौहर से ले या उस के बाप के तरका से अगर तरका से लिया तो बाक़ी वुरसा शौहर से वुसूल करें (आलमगीरी)

मसअ्ला :– निकाह के वकील ने महर की ज़मानत कर ली अगर शौहर के हुक्म से है तो वापस ले सकता है वरना नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– शौहर नाबालिग़ मोहताज है तो उस के बाप से महर का मुतालबा नहीं हो सकता और अगर मालदार है तो यह मुतालबा है कि लड़के के माल से महर अदा कर दे यह नहीं कि अपने माल से अदा करे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– बाप ने बेटे का महर अदा कर दिया और ज़ामिन न था तो अगर देते वक़्त गवाह बना लिए कि वापस ले ले गा तो ले सकता है वरना नहीं (रद्दुल मुहतार)

महर की क़िस्में

मसअ्ला :–महर तीन क़िस्म है मुअज्जल (معجل)कि ख़लवत से पहले महर देना क़रार पाया है (مؤجل)जिस के लिए कोई मीआ़द मुक़र्रर हो और मुतलक़(مطلق)जिस में न वह हो न यहऔर यह भी हो सकता है कि कुछ हिस्सा मुअज्जल हो कुछ मुअज्जल या मुतलक़ या मुअज्जल या कुछ मुअज्जल हो कुछ मुतलक़ या कुछ मुअज्जल और कुछ मुअज्जल और कुछ मुतलक़ महरे मुअज्जल वुसूल करने के लिए औरत अपने को शौहर से रोक सकती है यानी यह इख़्तियार है कि वती व मुक़द्दमाते वती से बाज़ रखे ख़्वाह कुल मुअज्जल हो या बाज़ और शौहर को हलाल नहीं कि औरत को मजबूर करे अगर्चे उस के पेशतर औरत की रज़ा मन्दी से वती व ख़लवत हो चुकी हो यानी यह हक़ औरत को हमेशा हासिल है जब तक वुसूल न कर ले **यूँही अगर** शौहर सफ़र में ले जाना चाहता है तो महर मुअज्जल वुसूल करने के लिए जाने से इन्कार कर सकती है **यूँही अगर** महर मुतलक़ हो और वहाँ का उ़र्फ़ है कि ऐसी महर में कुछ ख़लवत से पहले अदा किया जाता है तो उस के ख़ान्दान में जितना पेशतर अदा करने का रिवाज है उस का हुक्म महरे मुअज्जल का है यानी उस के वुसूल करने के लिए वती व सफ़र से मनअ् कर सकती है और अगर महर मुअज्जल यानी मीआ़दी है और मीआ़द मजहूल(मालूम न होना) है जब भी फ़ौरन देना वाजिब है हाँ अगर मुअज्जल है और मीआ़द यह ठहरी कि मौत या तलाक़ पर वुसूल करने का हक़ है तो जब तक तलाक़ या मौत वाक़िअ् न हो वुसूल नहीं कर सकती जैसे उ़मूमन हिन्दुस्तान में यही राइज है कि महर मुअज्जल से यही समझते हैं (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– ज़ौजा नाबालिग़ा है तो उस के बाप या दादा को इख़्तियार है कि महर मुअज्जल लेने के लिये रुख़सत न करें और ज़ौजा ख़ुद अपने को शौहर के क़ब्ज़ा में नहीं दे सकती **और नाबालिग़ा** का महर मुअज्जल लेने से पहले सिर्फ़ बाप दादा रुख़सत कर सकते हैं इन के सिवा और किसी वली को इख़्तियार नहीं कि रुख़सत कर दे (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– औरत ने जब महरे मुअज्जल पा लिया तो अब शौहर उसे परदेस को भी लेजा सकता है औरत को अब इनकार का हक़ नहीं और अगर महरे मुअज्जल में एक रुपया भी बाक़ी है तो वती व सफ़र से बाज़ रह सकती है यूहीं अगर औरत का बाप मअ़ अहल व अयाल परदेस को जाना चाहता है और अपने साथ अपनी जवान लड़की को ले जाना चाहता है जिस की शादी हो चुकी है और शौहर ने महर मुअज्जल अदा नहीं किया है तो ले जा सकता है और महर वुसूल हो चुका है तो बग़ैर इजाज़ते शौहर नहीं ले जा सकता अगर महरे मुअज्जल कुल अदा हो चुका है सिर्फ़ एक दिरहम बाक़ी है तो ले जा सकता है और शौहर यह चाहे कि जो दिया है वापस कर ले तो वापस नहीं ले सकता (आलमगीरी)

मसअला :– नाबालिग़ा की रुख़सत हो चुकी मगर महरे मुअज्जल वुसूल नहीं हुआ है तो उस का वली रोक सकता है और शौहर कुछ नहीं कर सकता जब तक महर मुअज्जल अदा न कर ले (आलमगीरी)

मसअला :– बाप अगर लड़की का महर शौहर से वुसूल करना चाहे तो उस की ज़रूरत नहीं कि लड़की भी वहाँ हाज़िर हो **फिर अगर** शौहर लड़की के बाप से रुख़सत के लिए कहे और लड़की अपने बाप के घर मौजूद हो तो रुख़सत कर दे **और अगर** वहाँ न हो और भेजने पर भी कुदरत न हो तो महर पर क़ब्ज़ा करने का भी उसे हक़ नहीं अगर शौहर महर देने पर तैयार है मगर यह कहता है कि लड़की का बाप लड़की को नहीं देगा ख़ुद ले लेगा तो क़ाज़ी हुक्म देगा कि लड़की का बाप ज़ामिन दे कि महर लड़की के पास पहुँच जायेगा और शौहर को हुक्म देगा कि महर अदा करे। (आलमगीरी)

मसअला :– महरे मुअज्जल यानी मीआदी था और मीआद पूरी होगई तो औरत अपने को रोक सकती है या बाज़ मुअज्जल था बाज़ मीआदी और मीआद पूरी हो गई तो औरत अपने को रोक सकती है (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर महेर मुअज्जल (जिस की मीआद मौत या तलाक़ थी)या मुतलक़ था और तलाक़ या मौत वाक़िअ़ हुई तो अब यह भी मुअ़ज्जल हो जायेगा यानी फ़िलहाल मुतालबा कर सकती है अगर्चे तलाक़े रज्ई हो मगर रज्ई में रुजूअ़ के बाद मुअज्जल हो गया और अगर महर मुनज्जिम है यानी किस्त बकिस्त वुसूल करेगी और तलाक़ हुई तो अब भी किस्त ही के साथ लेगी(आलमगीरी रद्दुल मुहतार)

मसअला :– महरे मुअ़ज्जल लेने के लिए औरत अगर वती से इन्कार करे तो उस की वजह से नफ़का साक़ित न होगा और उस सूरत में बिला इजाज़त शौहर के घर से बाहर सफ़र में भी जासकती है जबकि ज़रूरत से हो और अपने मैके वालों से मिलने के लिए भी बिला इजाज़त जा सकती है और जब महर वुसूल कर लिया तो अब बिला इजाज़त नहीं जा सकती मगर सिर्फ़ माँ बाप की मुलाक़ात को हर हफ़्ता में एक बार दिन भर के लिए जासकती है और महारिम के यहाँ साल भर में एक बार और मुहारिम के सिवा और रिश्ता दारों या ग़ैरों के यहाँ ग़मी शा शादी की किसी तक़रीब में नहीं जा सकती न शौहर उन मौक़ों पर जाने की इजाज़त दे अगर इजाज़त दी तो दोनों गुनहगार हुए (दुर्रे मुख़्तार)

नोट :– इस बयान में मुअ़ज्जल (معجل)और मुअज्जल(مؤجل)के फ़र्क़ को अच्छी तरह समझ लें ताकि ठीक तरह से मसअला समझ में आये। (क़ादरी)

महर में इख़्तिलाफ़ की सूरतें

मसअ्ला :– महर में इख़्तिलाफ़ हो तो उस की चन्द सूरतें हैं एक यह कि नफ़्से महर में इख़्तिलाफ़ हो एक कहता है महर बँधा था दूसरा कहता है निकाह के वक़्त महर का ज़िक्र ही न आया तो जो कहता है बन्धा था गवाह पेश करे न पेश कर सके तो इन्कार करने वाले को हलफ़ दिया जाये अगर हलफ़ उठाने से इन्कार करे तो मुद्दई का दअ्वा साबित और हलफ़ उठा ले तो महरे मिस्ल वाजिब होगा यानी जबकि निकाह बाक़ी हो या ख़लवत के बाद तलाक़ हुई और अगर ख़लवत से पहले तलाक़ हुई तो कपड़े का जोड़ा वाजिब होगा उस का हुक्म पेशतर बयान हो चुका दूसरी सूरत यह कि मिक़दार में इख़्तिलाफ़ हो तो अगर महरे मिस्ल उतना है जितना औरत बताती है या ज़ाइद तो औरत की बात क़सम के साथ मानी जाये और अगर महरे मिस्ल शौहर के कहने के मुताबिक़ है या कम तो क़सम के साथ शौहर की बात मानी जाये और अगर किसी ने गवाह पेश किए तो उस का क़ौल माना जाये महरे मिस्ल कुछ भी हो और अगर दोनों ने पेश किए तो जिस का क़ौल महरे मिस्ल के ख़िलाफ़ है उस के गवाह मक़बूल हैं और अगर महरे मिस्ल दोनों दअ्वों के दरमियान है मसलन शौहर का दअ्वा एक हज़ार का है और औरत का दो हज़ार का और महरे मिस्ल डेढ़ हज़ार है तो दोनों को क़सम देंगे जो क़सम खा जाये उसका क़ौल मोअ्तबर है या जो गवाह पेश करे उस का क़ौल माना जाये और अगर दोनों क़सम खा जायें या दोनों गवाह पेश करें तो महरे मिस्ल पर फ़ैसला होगा यह तफ़सील उस वक़्त है कि निकाह बाक़ी हो दुख़ूल हो या नहीं या दोनों में एक मर चुका हो यूँही उस सूरत में कि दुख़ूल के बाद तलाक़ दे दी हो और अगर क़ब्ल दुख़ूल तलाक़ दी हो तो मतआ–ए–मिस्ल (यानी जोड़ा)जिस के क़ौल के मुवाफ़िक़ हो क़सम के साथ उस का क़ौल मोअ्तबर है और अगर मतआ–ए–मिस्ल दोनों के दरमियान हो तो दोनों पर हलफ़ रखें जो हलफ़ उठा ले उस की बात मोअ्तबर है और दोनों उठालें तो मतअ़े मिस्ल देंगे और अगर कोई गवाह पेश करे तो क़ौल मोअ्तबर है और दोनों ने पेश किए तो जिस का क़ौल मतआ–ए–मिस्ल के ख़िलाफ़ है वह मोअ्तबर और अगर दोनों का इन्तिक़ाल हो चुका और दोनों के वुरसा में इख़्तिलाफ़ हुआ तो मिक़दार में ज़ौज के वुरसा का क़ौल माना जाये और नफ़्से महर में इख़्तिलाफ़ हुआ कि मुक़र्रर हुआ था या नहीं तो महरे मिस्ल पर फ़ैसला करेंगे (दुर्रे मुख़्तार वग़ैर)

मसअ्ला :– शौहर अगर काबीन नामा(महर का काग़ज़) लिखने से इन्कार करे तो मजबूर न किया जाये और अगर महर रुपये का बाँधा गया और काबैन नामा में अशरफ़ियाँ लिखी गयीं तो शौहर पर रुपये वाजिब हैं मगर क़ाज़ी अशरफ़ियाँ दिलवायेगा जबकि उसे इल्म न हो कि रुपये का महर बँधा था(आलमगीरी)

शौहर ने औरत के यहाँ कुछ चीज़ भेजना

मसअ्ला :– शौहर ने कोई चीज़ औरत के यहाँ भेजी अगर यह कह दिया कि हदया है तो अब नहीं कह सकता कि महर में थी और अगर कुछ न कहा और अब कहता है कि महर में भेजी और औरत कहती है कि हदया है और चीज़ खाने की क़िस्म से है मसलन रोटी, गोश्त, हलवा, मिठाई वग़ैरा तो औरत से क़सम ले कर उस का क़ौल माना जायेगा और अगर खाने की क़िस्म से नहीं यानी बाक़ी रहने वाली चीज़ हो मसलन कपड़े, बकरी, घी, शहद वग़ैरहा तो शौहर को हलफ़ दिया जाये क़सम खा ले तो उस की बात माने और औरत को इख़्तियार होगा कि अगर वह चीज़ महरकी क़िस्म से नहीं और बाक़ी है तो वापस दे और अपना महर वुसूल करे (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– शौहर ने औरत के यहाँ कोई चीज़ भेजी और औरत के बाप ने शौहर के यहाँ कुछ भेजा शौहर कहता है वह चीज़ मैंने महर में भेजी थी तो क़सम के साथ उस का क़ौल मान लिया

जायेगा और औरत को इख़्तियार होगा कि वह शैय वापस करे या महर में महसूब करे और औरत के बाप ने जो भेजा था अगर वह शैय हलाक होगई तो कुछ वापस नहीं ले सकता और मौजूद है तो वापस ले सकता है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिस लड़की से मंगनी हुई उस के पास लड़के के यहाँ से शकर और मेवे वग़ैरा आये फिर किसी वजह से निकाह न हुआ तो अगर वह चीज़ें तक़सीम हो गईं और भेजने वाले ने तक़सीम की इजाज़त भी दे दी थी तो वापस नहीं ले सकता वरना वापस ले सकता है (आलमगीरी) तक़सीम की इजाज़त सराहतन् हो या उ़र्फ़न मसलन हिन्दुस्तान में इस मौक़े पर ऐसी चीज़ें इसी लिए भेजते हैं कि लड़की वाला अपने कुन्बा और रिश्ता दोरों में बाँटेगा यह चीज़ें इस लिए नहीं होती कि रख लेगा या ख़ुद खा जायेगा

मसअ्ला :– शौहर ने औरत के यहाँ ईदी भेजी फिर यह कहता है कि वह रुपये महर में भेजे थे तो उस का क़ौल नहीं माना जायेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत मरगई शौहर ने गाय बकरी वग़ैरा कोई जानवर भेजा कि ज़िबह कर के तीजा में खिलाया जाये उस की क़ीमत नहीं बताई थी तो नहीं ले सकता और क़ीमत बतादी थी तो ले सकता है और अगर इख़्तिलाफ़ हो वह कहता है कि बतादी थी और लड़की वाला कहता है कि नहीं बताई थी तो अगर लड़की वाला क़सम खाले तो उस की बात मान ली जायेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– कोई औरत इद्दत में थी उसे ख़र्च देता रहा इस उम्मीद पर कि बादे इद्दत इस से निकाह करेगा अगर निकाह हो गया तो जो कुछ ख़र्च किया है वापस नहीं ले सकता और औरत ने निकाह से इन्कार कर दिया तो जो उसे बतौर तमलीक दिया है वापस ले सकता है और जो बतौर इबाहत दिया है मसलन उस के यहाँ खाना खाती रही तो यह वापस नहीं ले सकता (तनवीर)

मसअ्ला :– लड़की को जो कुछ जहेज़ में दिया है वह वापस नहीं ले सकता और वुरसा को भी इख़्तियार नहीं जबकि मर्ज़ुलमौत में न दिया हो यूँही जो कुछ सामान नाबालिग़ा लड़की के लिए ख़रीदा अगर्चे अभी न दिया हो या मर्ज़ुलमौत में दिया उस की मालिक भी तन्हा लड़की है(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– लड़की वालों ने निकाह या रुख़सत के वक़्त शौहर से कुछ लिया हो यानी बग़ैर लिये निकाह या रुख़सत से इन्कार करते हों और शौहर ने देकर निकाह या रुख़सत कराई तो शौहर उस चीज़ को वापस ले सकता है और वह न रही तो उस की क़ीमत ले सकता है कि यह रिश्वत है (बहर वग़ैरा)रुख़सत के वक़्त जो कपड़े भेजे अगर बतौर तमलीक है जैसे हिन्दुस्तान में उ़मूमन रिवाज है कि डाल बरी में जो ज़ोड़े भेजे जाते हैं और उ़र्फ़ यही है कि लड़की को मालिक कर देते हैं तो उन्हें वापस नहीं ले सकता और तमलीक न हो तो ले सकता है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– लड़की को जहेज़ दिया फिर यह कहता है कि मैंने बतौर आ़रियत दिया है और लड़की या उस के मरने के बाद शौहर कहता है कि बतौर तमलीक (मालिक बनाना) दिया है तो अगर वह चीज़ ऐसी है कि उमूमन लोग उसे जहेज़ में दिया करते हैं तो लड़की या उस के शौहर का क़ौल माना जाये और अगर उ़मूमन यह बात न हो बल्कि आ़रियत व तमलीक दोनों तरह दी जाती हो तो उस के बाप या वुरसा का क़ौल मोअ्तबर है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जिस सूरत में लड़की का क़ौल मोअ्तबर है अगर उस के बाप ने गवाह पेश किये जो उस अम्र की शहादत् देते हैं कि देते वक़्त उस ने कह दिया था कि आ़रियत है तो गवाह मान लिए जायेंगे (आलमगीरी)

मसअ्ला :– बालिग़ा लड़की का निकाह कर दिया और जहेज़ के असबाब भी मुअय्यन कर दिये मगर अभी दिये नहीं और वह अ़क्द फ़स्ख़ हो गया फिर दूसरे से निकाह हुआ तो लड़की उस जहेज़ का बाप से मुतालबा नहीं कर सकती। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– लड़की ने माँ बाप के माल और अपनी दस्तकारी से कोई चीज़ जहेज़ के लिये तैयार की और उस की माँ मर गई बाप ने वह चीज़ जहेज़ में दे दी तो उस के भाईयों को यह हक़ नहीं पहुँचता कि उस चीज़ में माँ की तरफ़ से मीरास का दअ्वा करें यूँही उस का बाप जो कपड़े लाता रहा उस में से यह अपने जहेज़ के लिए बना कर रखती रही और बहुत कुछ जमअ् कर लिया और बाप मरगया तो यह असबाब सब लड़की का है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– माँ ने बेटी के लिए उस के बाप के माल से जहेज़ तैयार किया या उस का कुछ असबाब जहेज़ में दे दिया और उसे इल्म हुआ और ख़ामोश रहा और लड़की रुख़सत कर दी गई तो अब बाप उस जहेज को लड़की से वापस नहीं ले सकता (तनवीरुल अबसार)

मसअ्ला :– जिस घर में दोनों ज़न व शौहर रहते हैं उस में कुछ असबाब जिस का हर एक मुद्दई है तो अगर वह ऐसी शय है जो औरतें बरत्ती हैं मसलन दोपट्टा, सिंगार दान, ख़ास औरतों के पहनने के कपड़े तो ऐसी चीज़ औरत को दी जायेगी हाँ अगर शौहर सुबूत दे कि यह चीज़ उस की है तो उसे देदेंगे और अगर वह ख़ास मर्दों के बरतने की है मसलन टोपी, अमामा, अंगरखा और हथयार वग़ैरा तो ऐसी चीज़ मर्द को देंगे मगर जब औरत गवाह से अपनी मिल्क साबित करे तो उसे देंगे और अगर दोनों के काम की वह चीज़ हो मसलन बिछौना तो यह भी मर्द ही को दें मगर जब औरत गवाह पेश करे तो उसे दे दें और अगर उन दोनों में एक का इन्तिक़ाल हो चुका है उस के वुरसा और उस में इख़्तिलाफ़ हुआ जब भी वही तफ़सील है मगर जो चीज़ दोनों के बरतने की हो वह उसे दें जो ज़िन्दा है वारिस को नहीं और अगर मकान में माले तिजारत है और मशहूर है कि वह शख़्स उस चीज़ की तिजारत करता था तो मर्द को दें (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जो चीज़ मुसलमान के निकाह में महर हो सकती है वह काफ़िर के निकाह में भी हो सकती है और जो मुसलमान के निकाह में महर नहीं हो सकती काफ़िर के निकाह में भी नहीं हो सकती सिवा शराब व ख़िन्ज़ीर कि यह काफ़िर के महर में हो सकते हैं मुसलमान के नहीं(अम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– काफ़िर का निकाह बग़ैर महर के हुआ यानी महर का ज़िक्र न आया या कहा कि महर नहीं दिया जायेगा या मुर्दार का महर बाँधा और यह उनके मज़हब में जाइज़ भी हो यानी उन सूरतों में उन के यहाँ महर का हुक्म न दिया जाता हो तो उन सूरतों में औरत को महर न मिलेगा अगर्चे वती हो चुकी या क़ब्ले वती तलाक़ हो गई हो या शौहर मर गया हो अगर्चे दोनों अब मुसलमान हो गये या मुसलमान के पास उस का मुक़द्दमा पेश किया हाँ बाक़ी अहकामे निकाह साबित होंगे मसलन वुजूबे नफ़्क़ा, वुक़ूअ़े तलाक़, इद्दत, नसब, ख़ियारे बुलूग़ वग़ैरा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– नाबालिग़ ने बग़ैर इजाज़ते वली निकाह किया और वती भी कर ली फिर वली ने रद कर दिया तो महर लाज़िम नहीं (ख़ानिया)

मसअ्ला :– नाबालिग़ा के बाप को हक़ है कि अपनी लड़की का महर मुअज्जल शौहर से तलब करे और अगर लड़की क़ाबिले जिमाअ् है तो शौहर रुख़सत करा सकता है और उस के लिए किसी सिन(उम्र)की तख़सीस नहीं और अगर इस क़ाबिल नहीं अगर्चे बालिग़ा हो तो रुख़सत पर जब्र नहीं किया जा सकता (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

लौन्डी, गुलाम के निकाह का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है :–

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ط وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ط بَعْضُكُمْ مِنْۢ بَعْضٍ ج فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَ اٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ط

तर्जमा :– "और तुम में कुद्रत न होने के सबब जिस के निकाह में आज़ाद औरतें मुसलमान न हों तो उस से निकाह करे जिस को तुम्हारे हाथ मालिक हैं ईमान वाली बाँदियाँ और अल्लाह तुम्हारे ईमान को ख़ूब जानता है तुम में एक दूसरे से है तो उन से निकाह करो उन के मालिकों की इजाज़त से और हस्बे दस्तूर उनके महर उन्हें दो"

इमाम अहमद, व अबू दाऊद, व तिर्मिज़ी व हाकिम जाबिर रदियल्लाह तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो गुलाम बग़ैर मौला की इजाज़त के निकाह करे वह ज़ानी है अबू दाऊद इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया जब गुलाम ने बग़ैर इजाज़ते मौला निकाह किया तो उस का निकाह बातिल है इमाम शाफ़िई व बैहक़ी हज़रते अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी उन्होंने फ़रमाया गुलाम दो औरतों से निकाह कर सकता है ज़्यादा नहीं।

मसअ्ला :– लौन्डी गुलाम ने अगर्चे ख़ुद निकाह कर लिया या उन का निकाह किसी और ने करदिया तो यह निकाह मौला की इजाज़त पर मौक़ूफ़ है जाइज़ करदेगा नाफ़िज़ हो जायेगा रद कर देगा बातिल होजायेगा फिर अगर वती भी हो चुकी और मौला ने रद कर दिया तो जब तक आज़ाद न हो लौन्डी अपना महर तलब नहीं कर सकती न गुलाम से मुतालबा हो सकता है और अगर वती न हुई जब तो महर वाजिब ही न हुआ। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– यहाँ मौला से मुराद वह है जिसे उस के निकाह की विलायत हासिल हो मसलन मालिक नाबालिग़ा हो तो उसका बाप या दादा या क़ाज़ी या वसी और लौन्डी गुलाम से मुराद आ़म है मुदब्बिर, मुकातिब, माज़ून, उम्मे वलद, या वह जिस का कुछ हिस्सा आज़ाद हो चुका सब को शामिल है (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मुकातिब अपनी लौन्डी का निकाह अपने इज़्न से कर सकता है और अपना या अपने गुलाम का नहीं कर सकता और माज़ून गुलाम लौन्डी का भी नहीं कर सकता (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मौला की इजाज़त से गुलाम ने निकाह किया तो महर व नफ़्क़ा ख़ुद गुलाम पर वाजिब है मौला पर नहीं और मरगया तो महर व नफ़्क़ा दोनों साक़ित और गुलाम ख़ालिस महर व नफ़्क़ा के सबब बेच डाला जायेगा और मुदब्बर, मुकातिब न बेचे जायें बल्कि उन्हें हुक्म दिया जाये कि कमा कर अदा करते रहें हाँ मुकातिब अगर बदले किताबत से आ़जिज़ हो तो अब मुकातिब न रहेगा और महर व नफ़्क़ा में बेचा जायेगा और गुलाम की बैअ़ उस का मौला करे अगर वह इन्कार करे तो उस के सामने क़ाज़ी बैअ़ कर देगा और यह भी हो सकता है कि जिन दामों को फ़रोख़्त हो रहा है मौला अपने पास से उतने दाम दे दे और फ़रोख़्त न होने दे (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– महर में फ़रोख़्त हुआ मगर वह दाम अदाए महर के लिए काफ़ी न हों तो अब दोबारा फ़रोख़्त न किया जाये बल्कि बक़िया महर बादे आज़ादी तलब कर सकती है और अगर ख़ुद उसी

औरत के हाथ बेचा गया तो बक़िया महर साक़ित हो गया और नफ़्क़ा में बेचा गया और उन दामों से नफ़्क़ा अदा न हुआ तो बाक़ी बादे इत्क़(आज़ादी के बाद) ले सकती है और बैअ् के बाद फिर और नफ़्क़ा वाजिब हुआ तो दोबारा बैअ् हो उस में भी अगर कुछ बाक़ी रहा तो बाद आज़ादी यूँही हर जदीद नफ़्क़ा में बैअ् हो सकती है और बक़िया में नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– किसी ने अपने ग़ुलाम का निकाह अपनी लौन्डी से कर दिया तो सहीह यह है कि महर वाजिब ही न हुआ यानी जब कनीज़ माज़ूना मदयूना न हो वरना महर में बेचा जायेगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– ग़ुलाम का निकाह उस के मौला ने कर दिया फिर फ़रोख़्त कर डाला तो महर ग़ुलाम की गर्दन से वाबस्ता है यानी औरत जब चाहे उसे फ़रोख़्त करा कर महर वुसूल करे और औरत को यह भी इख़्तियार है कि पहली बैअ् फ़स्ख़ करादे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मौला को अपने ग़ुलाम और लौन्डी पर जबरी विलायत है यानी जिस से चाहे निकाह कर दे उन को मनअ् का कोई हक़ नहीं मगर मुकातिब व मुकातिबा का निकाह बग़ैर इजाज़त नहीं कर सकता अगर्चे नाबालिग़ हों करदेगा तो उन की इजाज़त पर मौक़ूफ़ रहेगा और अगर नाबालिग़ मुकातिब व मुकातिबा ने बदले किताबत अदा कर दिया और आज़ाद हो गये तो अब मौला की इजाज़त पर मौक़ूफ़ है जबकि और कोई अस्बा न हो कि नाबालिग़ी की वजह से इजाज़त के अहल नहीं और अगर बदले किताबत अदा करने से आजिज़ हुए तो मुकातिब ग़ुलाम का निकाह इजाज़ते मौला पर मौक़ूफ़ है और मुकातिबा का बातिल (आलमगीरी)

मसअला :– ग़ुलाम ने बग़ैर इज़्ने मौला निकाह किया अब मौला से इजाज़त माँगी उस ने कहा तलाक़े रज्ई देदे तो इजाज़त होगई और पहला निकाह सहीह हो गया और कहा तलाक़ दे दे या उसे अलाहिदा कर दे तो यह इजाज़त नहीं बल्कि पहला निकाह रद होगया (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मौला से निकाह की इजाज़त ली और निकाह फ़ासिद किया तो इजाज़त ख़त्म हो गई यानी फिर निकाहे सहीह करना चाहे तो दोबारा इजाज़त लेनी होगी और निकाहे फ़ासिद में वती कर ली है तो महर ग़ुलाम पर वाजिब यानी ग़ुलाम महर में बेचा जा सकता है और अगर इजाज़त देने में मौला ने निकाहे सहीह की नियत की थी तो उस की नियत का एअ्तिबार होगा और निकाहे फ़ासिद की इजाज़त दी तो यही निकाह सहीह की भी इजाज़त है बख़िलाफ़ वकील कि उस ने अगर पहली सूरत में निकाह फ़ासिद कर दिया तो अभी वकालत ख़त्म न हुई दो बारा सहीह निकाह कर सकता है और अगर उसे निकाहे फ़ासिद का वकील बनाया है तो निकाहे सहीह का वकील नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– ग़ुलाम को निकाह की इजाज़त दी थी उस ने एक अ़क़्द में दो औरतों से निकाह किया तो किसी का न हुआ हाँ अगर इजाज़त ऐसे लफ़्ज़ों से दी जिन से तअ्मीम (आम इजाज़त) समझी जाती है तो हो जायेगा (आलमगीरी)

मसअला :– किसी ने अपनी लड़की का निकाह अपने मुकातिब से कर दिया फिर मरगया तो निकाह फ़ासिद न होगा हाँ अगर मुकातिब बदले किताबत अदा करने से आजिज़ आया तो अब फ़ासिद हो जायेगा कि लड़की उस की मालिका हो गई (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मुकातिब या मुकातिबा ने निकाह किया और मौला मर गया तो वारिस की इजाज़त से सहीह हो जायेगा (आलमगीरी)

मसअला :– लौन्डी का निकाह हुआ तो जो कुछ महर है मौला को मिलेगा ख़्वाह अ़क़्द से महर वाजिब हुआ हो या दुख़ूल से मसलन निकाह फ़ासिद कि उस में नफ़्से निकाह से महर वाजिब नहीं

होता मगर मुकातिबा या जिस का कुछ हिस्सा आज़ाद हो चुका है कि उन का महर उन्हीं को मिलेगा मौला को नहीं कनीज़ का निकाह कर दिया था फिर आज़ाद कर दी अब उस के शौहर ने महर में कुछ इज़ाफ़ा किया तो यह भी मौला ही को मिलेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– बग़ैर इजाज़ते मौला निकाह किया और इजाज़त से पहले तलाक़ दे दी तो अगर्चे यह तलाक़ नहीं मगर अब मौला की इजाज़त से भी जाइज़ न होगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– कनीज़ ने बग़ैर इज़्न निकाह किया था और मौला ने उसे बेच डाला और वती हो चुकी है तो मुश्तरी की इजाज़त से सहीह हो जायेगा वरना नहीं और अगर मुश्तरी ऐसा शख़्स हो कि उस कनीज़ से वती उस के लिए हलाल न हो तो अगर्चे वती न हुई हो इजाज़त दे सकता है यूँही गुलाम ने बग़ैर इज़्न निकाह किया था मौला ने उसे बेच डाला और मुश्तरी ने जाइज़ कर दिया मौला मरगया और वारिस ने जाइज़ कर दिया होगया और आज़ाद कर दिया गया तो ख़ुद सहीह होगया इजाज़त की हाजत ही न रही (आलमगीरी)

मसअ्ला :– लौन्डी ने बग़ैर इजाज़त निकाह किया था और मौला ने इजाज़त दे दी तो महर मौला को मिलेगा अगर्चे इजाज़त के बाद आज़ाद कर दिया हो अगर्चे आज़ादी के बाद सोहबत हुई हो और अगर मौला ने इजाज़त से पहले आज़ाद कर दिया और वह बालिग़ा है तो निकाह जाइज़ हो गया फिर अगर आज़ादी से पहले वती हो चुकी है तो महर मौला को मिलगा वरना लौन्डी को और अगर नाबालिग़ा है तो आज़ादी के बाद भी इजाज़ते मौला पर मौकूफ़ है जबकि कोई और अस्बा न हो वरना उसकी इजाज़त पर। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– बग़ैर गवाहों के निकाह हुआ और मौला ने गवाहों के सामने जाइज़ किया तो निकाह सहीह न हुआ। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– बाप या वसी ने नाबालिग़ की कनीज़ का निकाह उस के गुलाम से किया तो सहीह न हुआ (आलमगीरी)

मसअ्ला :– लौन्डी ने बग़ैर इजाज़ते मौला निकाह किया उस के बाद मौला ने वती की या शहवत से बोसा लिया तो निकाह फ़स्ख़ हो गया मौला को निकाह का इल्म हो या न हो (आलमगीरी)

मसअ्ला :– कनीज़ ख़रीदी और क़ब्ज़ा से पहले उस का निकाह कर दिया तो अगर बैअ् तमाम होगई निकाह हो गया और बैअ् फ़स्ख़ हो गई तो निकाह भी बातिल (आलमगीरी)

मसअ्ला :– बाप की कनीज़ का बेटे ने निकाह कर दिया फिर बाप मर गया तो अब यह निकाह बेटे की इजाज़त पर मौकूफ़ है रद कर देगा तो रद हो जायेगा और अगर बेटे ने बाप के मरने के बाद अपना निकाह उस की कनीज़ से किया तो सहीह न हुआ (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुकातिब ने अपनी ज़ौजा को ख़रीदा तो निकाह फ़ासिद न हुआ और अगर तलाक़े बाइन दे दी फिर निकाह करना चाहे तो बग़ैर इजाज़त नहीं कर सकता (आलमगीरी)

मसअ्ला :– लौन्डी का निकाह कर दिया तो मौला पर यह वाजिब नहीं कि उसे शौहर के हवाले कर दे और ख़िदमत न ले (और उस को तबविया कहते हैं)हाँ अगर शौहर के पास आती जाती है और मौला की ख़िदमत भी करती है तो यूँ कर सकती है और शौहर को मौक़ा मिले तो वती कर सकता है अगर शौहर ने महर अदा कर दिया है तो मौला पर यह ज़रूरी है कि इतना कह दे अगर तुझे मौक़ा मिले तो वती कर सकता है और अगर अक़्द में तबविया की शर्त थी जब भी मौला पर वाजिब नहीं। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– अगर कनीज़ को उस के शौहर के हवाले कर दिया जब भी मौला को इख़्तियार है जब चाहे उस से ख़िदमत ले और ज़माना–ए–तबविया में नफ़्क़ा और रहने को मकान शौहर के ज़िम्मे है और मौला वापस ले तो मौला पर है शौहर से साक़ित हो गया और अगर ख़ुद किसी किसी वक़्त अपने आक़ा का क़ाम कर जाती है मौला ने हुक्म नहीं दिया है तो नफ़्क़ा वग़ैरा शौहर ही पर है यूँही अगर मौला दिन में काम लेता है मगर रात को शौहर के मकान पर भेज देता है जब भी नफ़्क़ा शौहर पर है (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– ज़माना–ए–तबविया में तलाक़ बाइन दी तो नफ़्क़ा वग़ैरा शौहर के ज़िम्मे है और वापस लेने के बाद दी तो मौला पर (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिस कनीज़ का निकाह कर दिया उसे सफ़र में ले जाना चाहता है तो मुतलक़न उसे इख़्तियार है अगर्चे शौहर मनअ् करे बल्कि अगर्चे शौहर ने पूरा महर दे दिया हो (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जिस कनीज़ से वती करता है अब उस का निकाह करना चाहता है तो इस्तिबरा वाजिब है अगर निकाह कर दिया और छः महीने से कम में बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा मौला का क़रार दिया जायेगा यानी जबकि वह कनीज़ उम्मे वलद हो और मौला ने इन्कार न किया हो और उम्मे वलद न हो तो वह बच्चा मौला का उस वक़्त है जब उस ने दअ्वा किया हो और अगर लाइल्मी में निकाह किया तो बहर सूरत निकाह फ़ासिद है शौहर ने वती की है तो महर वाजिब है वरना नहीं और दानिसता निकाह कर दिया तो निकाह हो जायेगा (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– कनीज़ का निकाह कर दिया तो उस से जो बच्चा पैदा होगा वह आज़ाद नहीं मगर जब कि निकाह में आज़ादी की शर्त लगादी हो तो उस निकाह से जितनी औलादें पैदा हुई आज़ाद हैं और अगर तलाक़ दे कर फिर निकाह किया तो उस निकाहे सानी (दूसरे निकाह)की औलाद आज़ाद नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– कनीज़ का निकाह कर दिया और वती से पहले मौला ने उस को मार डाला अगर्चे ख़ताअन क़त्ल वाक़ेअ् हुआ तो महर साक़ित हो गया जबकि वह मौला आक़िल, बालिग़ हो और अगर लौन्डी ने ख़ुद कुशी की या मुरतद्दा हो गई या उस ने अपने शौहर के बेटे का बशहवत बोसा लिया या शौहर की वती के बाद मौला ने क़त्ल किया तो इन सूरतों में महर साक़ित नहीं।(दुर्रे मुख़तार)

मसअ्ला :– वती करने में अगर इन्ज़ाल बाहर करना चाहता है तो इन सूरतों में महर साक़ित नहीं

मसअ्ला :– वती करने में अगर इन्ज़ाल बाहर करना चाहता है तो उस में इजाज़त की ज़रूरत है अगर औरते हुर्रा मुक़ातिबा है तो ख़ुद उस की इजाज़त से और कनीज़ बालिग़ा है तो मौला की इजाज़त से और अपनी कनीज़ से वती की तो अस्लन इजाज़त की हाजत नहीं (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– कनीज़ जो किसी के निकाह में है अगर्चे उस का शौहर आज़ाद हो जब वह आज़ाद होगी तो उसे इख़्तियार है चाहे अपने नफ़्स को इख़्तियार करे तो निकाह फ़स्ख़ हो जायेगा और वती न हुई हो तो महर भी नहीं और चाहे शौहर को इख़्तियार करे तो निकाह बर क़रार रहेगा और नाबालिग़ा है तो वक़्ते बुलूग़ उसे यह इख़्तियार होगा कि अपने नफ़्स को इख़्तियार करे या शौहर को (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ख़ियारे इत्क़ (आज़ादी का इख़्तियार) से निकाह फ़स्ख़ होना हुक्मे क़ाज़ी पर मौक़ूफ़ नहीं और अगर आज़ादी की ख़बर सुन कर साकित (चुप) रही तो ख़ियार बातिल न होगा जब तक

कोई फ़ेअ्ल ऐसा न पाया जाये जिस से निकाह का इख़्तियार करना समझा जाये और मज्लिस से उठ खड़ी हुई तो अब इख़्तियार न रहा और अगर अब यह कहती है कि मुझे यह मसअ्ला मालूम न था कि आज़ादी के बाद इख़्तियार मिलता है तो उस का यह जहल उ़ज़्र करार दिया जायेगा लिहाज़ा मसअ्ला मालूम होने के बाद अपने नफ़्स को इख़्तियार किया निकाह फ़स्ख़ हो गया और यह इख़्तियार सिर्फ़ बाँदी के लिए है ग़ुलाम को नहीं और ख़ियारे बुलूग़ यानी नाबालिग़ का निकाह अगर उस के बाप या दादा के सिवा किसी और वली ने किया हो तो वक़्ते बुलूग़ उसे फ़स्ख़े निकाह का इख़्तियार मिलता है मगर ख़ियारे बुलूग़ से निकाह फ़स्ख़ होना हुक्मे क़ाज़ी पर मौक़ूफ़ है और अगर बालिग़ होते वक़्त अगर सुकूत किया तो ख़ियार जाता रहा जबकि निकाह का इ़ल्म हो और यह आख़िर मज्लिस तक नहीं रहता बल्कि फ़ौरन फ़स्ख़ करे तो फ़स्ख़ होगा वरना नहीं और इस में जहल उ़ज़्र नहीं और ख़ियारे बुलूग़ औ़रत व मर्द दोनों के लिए हासिल (ख़ानिया वग़ैरा)

मसअ्ला :– निकाह कनीज़ की ख़ुशी से हुआ था जब भी ख़ियारे इ़त्क़ उसे हासिल है और अगर बग़ैर इजाज़ते मौला निकाह किया था और मौला ने न इजाज़त दी न रोका और आज़ाद कर दिया तो निकाह होगया और ख़ियारे इ़त्क़ नहीं है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– बेटे की कनीज़ से निकाह किया और उस से औलाद हुई तो यह औलाद अपने भाई की त़रफ़ से आज़ाद है मगर वह कनीज़ उम्मे वलद न हुई **यूँही** अगर बाप की कनीज़ से निकाह किया तो औलाद बाप की त़रफ़ से आज़ाद होगी और कनीज़ उम्मे वलद नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– बेटे की बाँदी से वत़ी की और औलाद न हुई तो अ़क्र वाजिब है और वत़ी ह़राम है और अ़क्र यह है कि सिर्फ़ बएअ्तिबारे जमाल जो उस की मिस्ल का महर होना चाहिए वह देना होगा और औलाद हुई और, बाप ने उस का दअ्वा भी किया और बाप हुर्रे, मुस्लिम, आ़क़िल हो तो नसब साबित हो जायेगा बशर्ते कि वक़्ते वत़ी से वक़्ते दअ्वा तक लड़का उस कनीज़ का मालिक रहे और कनीज़ बाप की उम्मे वलद हो जायेगी और औलाद आज़ाद और बाप कनीज़ की क़ीमत लड़के को दे अ़क्र और औलाद की क़ीमत नहीं और अगर उस दरमियान में लड़के ने उस कनीज़ को अपने भाई के हाथ बेच डाला जब भी नसब साबित होगा और यही अह़काम होंगे लड़के ने अपनी उम्मे वलद की औलाद नफ़ी कर दी यानी यह कि मेरी नहीं और बाप ने दअ्वा किया कि यह मेरी औलाद है या लड़के की मुदब्बरा या मुकातिबा की औलाद का बाप ने दअ्वा किया तो इन सब सूरतों में मह़ज़ बाप के दअ्वा करने से नसब साबित न होगा जब तक लड़का बाप की तस्दीक़ न करे (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला :– दादा बाप के हुक्म में है जबकि बाप मर चुका हो या काफ़िर या मजनून या ग़ुलाम हो बशर्ते कि वक़्ते उ़लूक़ से दअ्वे के वक़्त तक दादा को विलायत हासिल हो (दुर्रे मुख़्तार)

निकाहे काफ़िर का बयान

ज़हरी ने मुरसलन रिवायत की कि हुज़ूर के ज़माने में कुछ औ़रतें इस्लाम लाईं और उनके शौहर काफ़िर थे फिर जब शौहर भी मुसलमान होगये तो उसी पहले निकाह के साथ यह औ़रतें उन को वापस की गईं यानी जदीद निकाह न किया गया।

मसअ्ला :– जिस क़िस्म का निकाह मुसलमानों में जाइज़ है अगर उस तरह का काफ़िर निकाह करे

तो उन का निकाह भी सहीह है मगर बाज़ उस किस्म के निकाह हैं जो मुसलमान के लिए नाजाइज़ और काफ़िर कर ले तो हो जायेगा उस की सूरत यह है कि निकाह की कोई शर्त मफ़कूद(शर्त न पाई जाये) हो मसलन बग़ैर गवाह निकाह हुआ या औरत काफ़िर की इद्दत में थी उस से निकाह किया मगर शर्त यह है कि कुफ़्फ़ार ऐसे निकाहे के जाइज़ होने के मोअ्तकिद हों फिर ऐसे निकाह के बाद अगर दोनों मुसलमान हो गये तो उसी निकाहे साबिक़ पर बाक़ी रखे जायें नये निकाह की हाजत नहीं यूँहीं अगर क़ाज़ी के पास मुक़द्दमा दाइर किया तो क़ाज़ी तफ़रीक़ न करेगा(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– काफ़िर ने महारिम से निकाह किया अगर ऐसा निकाह उन लोगों में जाइज़ हो तो निकाह के लवाज़िम नफ़्क़ा वग़ैरा साबित हो जायेंगे मगर एक दूसरे का वारिस न होगा और अगर दोनों इस्लाम लाये या एक तो तफ़रीक़ कर दी जायेगी यूँही अगर क़ाज़ी या किसी मुसलमान के पास दोनों ने उस का मुक़द्दमा पेश किया तो तफ़रीक़ करदेगा और एक ने किया तो नहीं (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला :– दो बहनों के साथ एक अक़्द में निकाह किया फिर एक को जुदा कर दिया फिर मुसलमान हुआ तो जो बाक़ी है उस का निकाह सहीह है उसी निकाह पर बरक़रार रखे जायें और जुदा न किया हो तो दोनों बातिल और अगर दो अक़्द के साथ निकाह हुआ तो पहली का सहीह है दूसरी का बातिल (आलमगीरी)

मसअला :– काफ़िर ने औरत को तीन तलाक़ें दे दीं फिर उस के साथ बदस्तूर रहता रहा न उस से दूसरे ने निकाह किया न उस ने दो बारा निकाह किया या औरत ने खुला कराया और बाद खुला बग़ैर तजदीदे निकाह बदस्तूर रहा किया तो इन दोनों सूरतों में क़ाज़ी तफ़रीक़ करदेगा अगर्चे मुसलमान हुआ न क़ाज़ी के पास मुक़द्दमा आया और अगर तीन तलाक़ें देने के बाद औरत का दूसरे से निकाह न हुआ मगर उस शौहर ने तजदीदे निकाह की तो तफ़रीक़ न की जाये (आलमगीरी)

मसअला :– किताबिया से मुसलमान ने निकाह किया था और तलाक़ दे दी अभी इद्दत ख़त्म न हुई थी कि उस से किसी काफ़िर ने निकाह किया तो तफ़रीक़ कर दी जाये (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– ज़ौज व ज़ौजा दोनों काफ़िर ग़ैर किताबी थे उन में से एक मुसलमान हुआ तो क़ाज़ी दूसरे पर इस्लाम पेश करे अगर मुसलमान हो गया तो ठीक और इन्कार या सुकूत किया तो तफ़रीक़ कर दे सुकूत की सूरत में एहतियात यह है कि तीन बार पेश करे यूँही अगर किताबी की औरत मुसलमान हो गई तो मर्द पर इस्लाम पेश किया जाये इस्लाम कबूल न किया तो तफ़रीक़ करदी जाये और अगर दोनों किताबी हैं और मर्द मुसलमान हुआ तो औरत बदस्तूर उस की ज़ौजा है (आम्मए कुतुब)

मसअला :– नाबालिग़ लड़का या लड़की समझदार हों तो इन्का भी वही हुक्म है और ना समझ हों तो इन्तिज़ार किया जाये जब तमीज़ आ जाये तो इस्लाम पेश किया जाये और अगर शौहर मजनून है तो उस का इन्तिज़ार न किया जाये कि होश में आये तो उस पर इस्लाम पेश करें बल्कि उस के बाप माँ पर इस्लाम पेश करें उन में जो कोई मुसलमान होजाये वह मजनून उस का ताबेअ् है और मुसलमान क़रार दिया जायेगा और अगर कोई मुसलमान न हो तो तफ़रीक़ कर दें और अगर उस के वालिदैन न हों तो क़ाज़ी किसी को उस के बाप का वसी क़रार देकर तफ़रीक़ करदे यह सब तफ़सील जुनूने अस्ली में हैं और अगर वह पहले मुसलमान था तो वह मुसलमान ही है अगर्चे उस के माँ बाप काफ़िर हों। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– शौहर मुसलमान हो गया और औरत मजूसिया थी और यहूदिया या नसरानिया होगई

तो तफ़रीक़ नहीं यूँही अगर यहूदिया थी अब नसरानिया हो गई या बिलअक्स तो बदस्तूर ज़ौजा है यूँही अगर मुसलमान की औरत नसरानिया थी यहूदिया हो गई या यहूदिया थी नसरानिया होगई तो बदस्तूर उस की औरत है यूँही अगर नसरानी की औरत मजूसिया होगई तो वह उस की औरत है(रद्दुलमुहतार)

मसअला :– यह तमाम सूरतें उस वक़्त हैं कि दारुल इस्लाम में इस्लाम क़बूल किया हो और अगर दारुल हर्ब में मुसलमान हुआ तो औरत तीन हैज़ गुज़रने पर निकाह से ख़ारिज हो गई और हैज़ न आता हो तो तीन महीने गुज़रने पर कम उम्र होने की वजह से हैज़ न आता हो या बुढ़िया होगई कि हैज़ बन्द हो गया और हामिला हो तो वज़ओ़ हमल से निकाह जाता रहा और यह तीन हैज़ या तीन महीने इद्दत के नहीं (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जो जगह ऐसी हो कि न दारुल इस्लाम हो न दारुलहर्ब वह दारुल हर्ब के हुक्म में है(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– और अगर वह जगह दारुल इस्लाम हो मगर काफ़िर का तसल्लुत हो जैसे आजकल हिन्दुस्तान तो इस मुआमले में यह भी दारुल हर्ब के हुक्म में है यानी तीन हैज़ या तीन महीने गुज़रने पर निकाह से बाहर होगी।

मसअला :– एक दारुलइस्लाम में आकर रहने लगा दूसरा दारुलहर्ब में रहा जब भी औरत निकाह से बाहर होजायेगी मसलन मुसलमान होकर या ज़िम्मी बनकर दारुलइस्लाम में आया या यहाँ आकर मुसलमान या ज़िम्मी हुआ या क़ैद कर के दारुलहर्ब से दारुलइस्लाम में लाया गया तो निकाह से बाहर हो गई और अगर दोनों एक साथ क़ैद कर के लाये गये या दोनों एक साथ मुसलमान या ज़िम्मी बनकर वहाँ से आये या यहाँ आकर मुसलमान हुए या जिम्मा क़बूल किया तो निकाह से बाहर न हुई या हर्बी अमन लेकर दारुल इस्लाम में आया या मुसलमान या ज़िम्मी दारुलहर्ब को अमान लेकर गया तो औरत निकाह से बाहर न होगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– बाग़ी की हुकूमत से निकल कर इमामे बरहक़ की हुकूमत में आया या बिल अक्स तो निकाह पर कोई असर नहीं (आलमगीरी)

मसअला :– मुसलमान या ज़िम्मी ने दारुलहर्ब में हरबिया किताबिया से निकाह किया था वह वहाँ से क़ैद कर के लाई गई तो निकाह से ख़ारिज न हुई यूँही अगर शौहर से पहले खुद आई जब भी निकाह बाक़ी है और अगर शौहर पहले आया और औरत बाद में तो निकाह जाता रहा (आलमगीरी)

मसअला :– हिजरत कर के दारुलइस्लाम में आई मुसलमान हो कर या ज़िम्मी बनकर या यहाँ आकर मुसलमान या ज़िम्मिया हुई तो अगर हामिला न हो फ़ौरन निकाह कर सकती है और हामिला हो तो बाद वज़ओ़ हमल, उस के लिए इद्दत नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– काफ़िर ने औरत और उस की लड़की दोनों से निकाह किया अब मुसलमान हुआ अगर एक अक़्द में निकाह हुआ तो दोनों का बातिल और अलाहेदा अलाहिदा निकाह किया और दुखूल किसी से न हुआ तो पहला निकाह सहीह है दूसरा बातिल और दोनों से वती कर ली है तो दोनों बातिल और अगर पहले एक से निकाह हुआ और दुखूल भी होगया उस के बाद दूसरी से निकाह किया तो पहला जाइज़ दूसरा बातिल और अगर पहली से सोहबत न की मगर दूसरी से की तो दोनों बातिल मगर जबकि पहली औरत माँ हो और दूसरी उस की बेटी और फ़क़त उस दूसरी से वती की तो उस लड़की से फिर निकाह कर सकता है और उस की माँ से नहीं (आलमगीरी)

मसअला :– औरत मुसलमान हुई और शौहर पर इस्लाम पेश किया गया उस ने इस्लाम लाने से इन्कार या सुकूत किया तो तफ़रीक़ की जायेगी और यह तफ़रीक़ तलाक़ क़रार दी जाये यानी अगर बाद में मुसलमान हो और उसी औरत से निकाह किया तो अब दो ही तलाक़ का मालिक रहेगा मिनजुमला तीन तलाक़ों के एक पहले हो चुकी है और यह तलाक़ बाइन है अगर्चे दुख़ूल हो चुका हो यानी अगर मुसलमान हो कर रजअत करना चाहे तो नहीं कर सकता बल्कि जदीद निकाह करना होगा और दुख़ूल हो चुका हो तो औरत पर इद्दत वाजिब है और इद्दत का नफ़क़ा शौहर से लेगी और पूरा महर शौहर से ले सकती है और क़ब्ले दुख़ूल हो तो निस्फ़ महर वाजिब हुआ और इद्दत नहीं और अगर शौहर मुसलमान हुआ और औरत ने इन्कार किया तो तफ़रीक़ फ़स्ख़े निकाह है कि औरत की जानिब से तलाक़ नहीं हो सकती है फिर अगर वती हो चुकी है तो पूरा महर ले सकती है वरना कुछ नहीं (दुर्रे मुख़्तार बहर)

मसअला :– ज़न व शौहर में से कोई मआज़ल्ला मुरतद होगया तो निकाह फ़ौरन टूट गया और यह फ़स्ख़ है तलाक़ नहीं। औरत मोतूह है तो महर बहर हाल पूरा ले सकती है और ग़ैर मोतूह है तो अगर औरत मुरतद है कुछ न पायेगी और शौहर मुरतद हुआ तो निस्फ़ महर ले सकती है और औरत मुरतद हुई और ज़माना–ए–इद्दत में मर गई और शौहर मुसलमान है तो तरका पायेगा(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– दोनों एक साथ मुरतद हो गये फिर मुसलमान हुए तो पहला निकाह बाक़ी रहा और अगर दोनों में एक पहला मुसलमान हुआ फिर दूसरा तो निकाह जाता रहा और अगर यह मालूम न हो कि पहले कौन मुरतद हुआ तो दोनों का मुरतद होना एक साथ क़रार दिया जाये (आलमगीरी)

मसअला :– औरत मुरतद होगई तो इस्लाम लाने पर मजबूर की जाये यानी उसे क़ैद में रखें यहाँ तक कि मर जाये या इस्लाम लाये और जदीद निकाह हो तो महर बहुत थोड़ा रखा जाये (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत ने ज़ुबान से कलिमा–ए–कुफ़्र जारी किया ताकि शौहर से पीछा छूटे या इस लिये कि दूसरा निकाह होगा तो उस का महर भी वुसूल करेगी तो हर क़ाज़ी को इख़्तियार है कि कम से कम महर पर उसी शौहर के साथ निकाह कर दे औरत राज़ी हो या नाराज़ और औरत को यह इख़्तियार न होगा कि दूसरे से निकाह कर ले (आलमगीरी)

मसअला :– मुसलमान के निकाह में किताबिया औरत थी और मुरतद हो गया यह औरत भी उस के निकाह से बाहर हो गई (आलमगीरी)

मसअला :– बच्चा अपने बाप माँ में उस का ताबेअ़ होगा जिस का दीन बेहतर हो मसलन अगर कोई मुसलमान हो तो औलाद मुसलमान है हाँ अगर बच्चा दारुल हर्ब में है और उसका बाप दारुलइस्लाम में मुसलमान हुआ तो इस सूरत में उस का ताबेअ़ न होगा और अगर एक किताबी है दूसरा मजूसी या बुत परस्त तो बच्चा किताबी क़रार दिया जाये (आम्मए कुतुब)

मसअला :– मुसलमान का किसी लड़की से निकाह हुआ और उस लड़की के वालिदैन मुसलमान थे फिर मुरतद हो गये तो वह लड़की निकाह से बाहर न हुई और अगर लड़की के वालिदैन मुरतद हो कर लड़की को लेकर दारुलहर्ब को चले गये तो अब बाहर हो गई और अगर उस के वालिदैन में से कोई हालते इस्लाम में मरचुका है या मुरतद होने की हालत में मरा फिर दूसरा मुरतद हो कर लड़की को दारुल हर्ब में ले गया तो बाहर न हुई खुलासा यह कि वालिदैन के मुरतद होने से छोटे बच्चे मुरतद न होंगे जबतक दोनों मुरतद हो कर उसे दारुलहर्ब को न ले जायें नीज़ यह कि एक मर गया तो दूसरे के ताबेअ़ न होंगे अगर्चे यह मुरतद हो कर दारुलहर्ब को ले जाये और ताबेअ़

होने में शर्त यह है कि ख़ुद वह बच्चा इस क़ाबिल न हो कि इस्लाम व कुफ़्र में तमीज़ कर सके और समझ दार है तो इस्लाम व कुफ़्र में किसी का ताबेअ् नहीं। मजनून भी बच्चा ही के हुक्म में है कि वह ताबेअ् क़रार दिया जायेगा जबकि जुनूने असली हो और बुलूग़ से पहले या बाद बुलूग़ मुसलमान था फिर मजनून हो गया तो किसी का ताबेअ् नहीं बल्कि यह मुसलमान है। बोहरे का भी यही हुक्म है कि असली है तो ताबेअ् औ आरिज़ी है तो नहीं (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार वग़ैरहा)

मसअ्ला :– बालिग़ हो और समझ भी रखता हो मगर इस्लाम से वाक़िफ़ नहीं तो मुसलमान नहीं जबकि ईमान इजमाली भी न हो

मसअ्ला :– मुरतद व मुरतद्दा का निकाह किसी से नहीं हो सकता न मुसलमान से न काफ़िर से न मुरतद व मुरतद्दा से (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ज़बान से कलिमा–ए–कुफ़्र निकला उस ने तजदीदे इस्लाम व तजदीदे निकाह की अगर मआज़ल्लाह कई बार यूँही हुआ जब भी उसे हलाला की हाजत नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– नशा वाला जिसकी अक़्ल जाती रही और ज़बान से कलिमा–ए–कुफ़्र निकला तो औरत निकाह से बाहर न हुई (आलमगीरी) मगर तजदीदे निकाह की जाये।

बारी मुक़र्रर करने का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعُوْلُوْا

तर्जमा :– अगर तुम्हें ख़ौफ़ हो कि अ़द्ल न करोगे तो एक ही से निकाह करो या वह बान्दीयाँ जिन के तुम मालिक हो या ज़्यादा क़रीब हैं उस से कि तुम से ज़ुल्म न हो"

और फ़रमाता है

لَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا۝

तर्जमा :– "तुम से हर गिज़ न हो सकेगा कि औरतों को बराबर रखो अगर्चे हिर्स करो तो यह तो न हो कि एक तरफ़ पूरा झुक जाओ और दूसरी को लटकती छोड़ दो और अगर नेकी और परहेज़गारी करो तो बेशक अल्लाह तआ़ला बख़्शने वाला मेहरबान है"।

हदीस न.1 :– इमाम अहमद व अबू दाऊद व निसाई व इब्ने माजा अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिस की दो औरतें उन में एक की तरफ़ माइल हो तो क़यामत के दिन इस तरह हाज़िर होगा कि उस का आधा धड़ माइल होगा तिर्मिज़ी और हाकिम की रिवायत है कि अगर दोनों में अ़द्ल न करेगा तो क़यामत के दिन हाज़िर होगा इस तरह पर कि आधा धड़ साक़ित (बेकार) होगा।

हदीस न.2 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व निसाई व इब्ने माजा व इब्ने हब्बान ने उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम बारी में अ़द्ल फ़रमाते और कहते इलाही मैं जिस का मालिक हूँ उस में मैं ने यह तक़सीम करदी और जिस का मालिक तू है मैं मालिक नहीं (यानी मुहब्बते क़ल्ब) उस में मलामत न फ़रमा।

हदीस न.3 :– सहीह मुस्लिम में अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया बेशक अ़द्ल करने वाले अल्लाह के

नज़्दीक रहमान की दहिनी तरफ़ नूर के मिम्बर पर होंगे और उस के दोनों हाथ दहने हैं वह लोग जो हुक्म करने और अपने घर वालों में अद्ल करते हैं।

हदीस न.4 :– सहीहैन में उम्मुलमोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब सफ़र का इरादा फ़रमाते तो अज़्वाजे मुतहहरात में क़ुरआ डालते जिन का क़ुरआ निकलता उन्हें अपने साथ ले जाते।

मसाइले फ़िक़्हिया

मसअला :– जिन की दो या तीन या चार औरतें हों उस पर अद्ल फ़र्ज़ है यानी जो चीज़ें इख़्तियारी हों उन में सब औरतों का एकसा लिहाज़ करे यानी हर एक को उस का पूरा हक़ अदा करे पोशाक और नान, नफ़क़ा और रहने, सहने में सब के हुक़ूक़ पूरे अदा करे और जो बात उसके इख़्तियार की नहीं उस में मअ़ज़ूर व मक़दूर है मसलन एक की ज़्यादा महब्बत है दूसरी की कम यूँही जिमाअ़ सब के साथ बराबर होना भी ज़रूरी नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– एक मरतबा जिमाअ़ क़ज़ाअन वाजिब है और दियानतन यह हुक्म है कि गाहे गाहे करता रहे और उस के लिए कोई हद मुक़र्रर नहीं मगर इतना तो हो कि औरत की नज़र औरों की तरफ़ न उठे और इतनी कसरत (अधिकता) भी जाइज़ नहीं कि औरत को ज़रर पहुँचे और यह उस के जुस्सा और कुव्वत के एअ़तिबार से मुख़्तलिफ़ है (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– एक ही बीवी है मगर मर्द उस के पास नहीं रहता बल्कि नमाज़, रोज़ा में मशग़ूल रहता है तो औरत शौहर से मुतालबा कर सकती है और उसे हुक्म दिया जायेगा कि औरत के पास भी रहा कर कि हदीस में फ़रमाया وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا तेरी बीवी का तुझ पर हक़ है रोज़ मर्रा शब बेदारी और रोज़ा रखने में उस का हक़ तल्फ़ होता है रहा यह कि उसके पास रहने की क्या मीआद है उसके मुतअ़ल्लिक़ एक रिवायत यह है कि चार दिनों में एक दिन उस के लिए और तीन दिन इबादत के लिए और सहीह यह है कि उसे हुक्म दिया जाये कि औरत का भी लिहाज़ रखे उस के लिए भी कुछ वक़्त दे और उस की मिक़दार शौहर के तअ़ल्लुक़ हैं (जौहरा नय्यिरा)

मसअला :– नई और पुरानी कुँवारी और सय्यिब तन्दुरुस्त और बीमार हामिला और ग़ैर हामिला और वह नाबालिग़ा जो क़ाबिले वती हो हैज़ व निफ़ास वाली और जिस से ईला या ज़िहार किया हो और जिस को तलाक़े रजई दी और रजअ़त का इरादा हो और एहराम वाली और वह मजनूना जिस से ईज़ा का ख़ौफ़ न हो मुस्लिमा और किताबिया सब बराबर हैं सब की बारियाँ बराबर होंगी यूँही मर्द इन्नीन हो या ख़स्सी मरीज़ हो या तनदुरुस्त बालिग़ हो या नाबालिग़ क़ाबिले वती इस सब का एक हुक्म है(आलमगीरी)

मसअला :– एक ज़ौजा कनीज़ है दूसरी हुर्रा तो आज़ाद के लिए दो दिन और दो रातें और कनीज़ के लिए एक दिन रात और अगर उस औरत के पास जो कनीज़ है एक दिन रात रह चुका था कि आज़ाद हो गई तो हुर्रा के पास चला जाये यूहीं हुर्रा के पास एक दिन रात रहचुका था कनीज़ आज़ाद हो गई तो कनीज़ के पास चलाजाये कि अब उस के यहाँ दो दिन रहने की कोई वजह नहीं जो कनीज़ उस की मिल्क में है उस के लिए बारी नहीं (आलमगीरी)

मसअला :– बारी में रात का एअ़तिबार है लिहाज़ा एक की रात में दूसरी के यहाँ बिला ज़रूरत नहीं जा सकता दिन में किसी हाजत के लिए जा सकता है और दूसरी बीमार है तो उस के पूछने को रात में भी जासकता है और मर्ज़ शदीद है तो उस के यहाँ रह भी सकता है यानी जब उसके यहाँ कोई ऐसा न हो जिस से उस का जी बहले और तीमार दारी करे एक की बारी में दूसरी से

दिन में भी जिमाअ् नहीं कर सकता (जौहरा नय्यरा)

मसअ्ला :– रात में काम करता है मसलन पहरा देने पर नौकर है तो बारियाँ दिन की मुक़र्रर करे

मसअ्ला :– एक औरत के यहाँ आफ़ताब के गुरूब के बाद आया दूसरी के यहाँ बादे इशा तो बारी के ख़िलाफ़ हुआ यानी रात का हिस्सा दोनों के पास बराबर सर्फ़ करना चाहिए रहा दिन उस में बराबरी ज़रूरी नहीं एक के पास दिन का ज़्यादा हिस्सा गुज़ारा दूसरी के पास कम तो उस में हर्ज नहीं (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– शौहर बीमार हुआ और औरतों के मकानाते सुकूनत के अलावा भी उस का कोई मकान है और उसी घर में है तो एक को उस की बारी पर उस मकान में बुलाये और अगर उन में से किसी के मकान में है तो दूसरी की बारी में उस के मकान पर चला जाये अगर इतनी ताक़त नहीं कि दूसरी के यहाँ जाये तो सेहत के बाद दूसरी के यहाँ इतने ही दिन ठहरे जितने दिन बीमारी में उस के यहाँ था (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– यह इख़्तियार शौहर को है कि एक एक दिन की बारी मुक़र्रर करे या तीन तीन दिन की बल्कि एक एक हफ़्ता की भी मुक़र्रर कर सकता है और यह भी शौहर ही को इख़्तियार है कि शुरू किस के पास से करे एक हफ़्ता से ज़्यादा न रहे और अगर एक के पास जो मुक़र्रर किया है उस से ज़्यादा रहा तो दूसरी के पास भी उतने ही दिनों रहे (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जब सब औरतों की बारियाँ पूरी हो गईं तो कुछ दिनों उन में से किसी के पास न रहने बल्कि किसी कनीज़ के पास रहने या तन्हा रहने का शौहर को इख़्तियार है यानी यह ज़रूर नहीं कि हमेशा किसी न किसी के यहाँ रहे (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– एक औरत के पास महीने भर रहा और दूसरी के पास न रहा उस ने दअ्वा किया तो आइन्दा के लिए क़ाज़ी हुक्म देगा कि दोनों के पास बराबर रहे और पहले जो एक महीना रह चुका है उस का मुआवज़ा नहीं अगर्चे अद्ल न करने से गुनाहगार हुआ और क़ाज़ी के मना करने पर भी न माने तो सज़ा का मुस्तहक़ है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– सफ़र को जाने में बारी नहीं बल्कि शौहर को इख़्तियार है जिसे चाहे अपने साथ ले जाये और बेहतर यह कि क़ुर्आ डाले जिस के नाम का क़ुरआ निकले उसे ले जाये और सफ़र से वापसी के बाद और औरतों को यह हक़ नहीं कि उस का मुतालबा करें कि जितने दिन सफ़र में रहा उतने ही दिनों उन बाक़ियों के पास रहे बल्कि अब से बारी मुक़र्रर होगी (जौहरा)सफ़र से मुराद शरई सफ़र है जिस का बयान नमाज़ में गुज़रा उर्फ़ में परदेस में रहने को भी सफ़र कहते हैं यह मुराद नहीं।

मसअ्ला :– औरत को इख़्तियार है अपनी बारी सोत को हिबा कर दे और हिबा करने के बाद वापस लेना चाहे तो वापस ले सकती है (जौहरा वग़ैरा)

मसअ्ला :– दो औरतों से निकाह किया इस शर्त पर कि एक के यहाँ ज़्यादा रहेगा या औरत ने कुछ माल दिया या महर में से कुछ कम कर दिया कि उस के पास ज़्यादा रहे या शौहर ने एक को माल दिया कि वह अपनी बारी सोत को देदे या एक औरत ने दूसरी को माल दिया कि यह अपनी बारी उसे दे दे यह सब सूरतें बातिल हैं और जो माल दिया है वापस होगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– वती व बोसा हर क़िस्म के तमत्तोअ् सब औरतों के साथ एकसा करना मुस्तहब है वाजिब नहीं (फ़तहुल क़दीर)

मसअ्ला :– एक मकान में दो या चन्द औरतों को इक्ट्ठा न करे और अगर औरतें एक मकान में रहने पर ख़ुद राज़ी हों तो रह सकती हैं मगर एक के सामने दूसरी से वती न करे अगर ऐसे मोक़ेअ़ पर औरत ने इनकार कर दिया तो नाफ़रमान नहीं क़रार दी जायेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत को जनाबत व हैज़ व निफ़ास के बाद नहाने पर मजबूर कर सकता है मगर किताबिया हो तो जब्र नहीं ख़ुश्बू इस्तिअ़्माल करने और मुए ज़ेरे नाफ़ साफ़ करने पर भी मजबूर कर सकता है और जिस चीज़ की बू से उसे नफ़रत है मसलन कच्चा लहसन, प्याज़, मूली वग़ैरा खाने, तम्बाकू खाने हुक्का पीने को मनअ़् कर सकता है बल्कि हर मुबाह चीज़ जिस से शौहर मनअ़् करे औरत को उस का मानना वाजिब (आलमगीरी, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– शौहर बनाव सिंगार को कहता है यह नहीं करती या वह अपने पास बुलाता है और यह नहीं आती उस सूरत में शौहर को मारने का भी हक़ है और नमाज़ नहीं पढ़ती तो तलाक़ देनी जाइज़ है अगर्चे महर अदा करने पर क़ादिर न हो (आमलगीरी)

मसअ्ला :– औरत को मसअ्ला पूछने की ज़रूरत हो तो अगर शौहर आ़लिम हो उस से पूछ ले और आ़लिम नहीं तो उस से कहे वह पूछ आये और इन सूरतों में उसे ख़ुद आ़लिम के यहाँ जाने की इजाज़त नहीं और यह सूरतें न हों तो जा सकती है (आलमगीरी)

मसअ्ला :–औरत का बाप अपाहिज हो और उस का कोई निगराँ नहीं तो औरत उस की ख़िदमत के लिए जासकती है अगर्चे शौहर मनअ़् करता हो (आलमगीरी)

मियाँ बीवी के हुक़ूक़

आज कल आम शिकायत है कि ज़न व शौहर में ना इत्तिफ़ाक़ी है मर्द को औरत की शिकायत है तो औरत को मर्द की हर एक दूसरे के लिए बलाये जान है और जब इत्तिफ़ाक़ न हो तो ज़िन्दगी तल्ख़ और नताइज निहायत ख़राब आपस की नाइत्तिफ़ाक़ी अलावा दुनिया की ख़राबी के दीन भी बरबाद करने वाली होती है और उस नाइत्तिफ़ाक़ी का असरे बद उन्हीं तक महदूद नहीं रहता बल्कि औलाद पर भी असर पड़ता है औलाद के दिल में न बाप का अदब रहता है न माँ की इज़्ज़त इस नाइत्तिफ़ाक़ी का बड़ा सबब यह है कि तरफ़ैन में हर एक दूसरे के हुक़ूक़ का लिहाज़ नहीं रखते और बाहम रवादारी से काम नहीं लेते मर्द चाहता है कि औरत को बान्दी से बदतर कर के रखे और औरत चाहती है कि मर्द मेरा ग़ुलाम रहे जो मैं चाहूँ वह हो चाहे कुछ हो जाये मगर बात में फ़र्क़ न आये जब ऐसे ख़ियालाते फ़ासिदा(बुरेख़्यालात) तरफ़ैन में पैदा होंगे तो क्योंकर बन सकेगी दिन रात की लड़ाई और एक के अख़लाक़ व आदात में बुराई और घर की बरबादी उस का नतीजा है क़ुर्आन मजीद में जिस तरह यह हुक्म आया कि اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ जिस से मर्दों की बड़ाई ज़ाहिर होती है उस तरह यह भी फ़रमाया कि जिस का साफ़ यह मतलब है कि औरतों के साथ अच्छी मुआ़शिरत करो इस मोक़ेअ़ पर हम बाज़ हदीसें ज़िक्र करेंगे जिन से हर एक के हुक़ूक़ की मअ़्रिफ़त(पहचान)हासिल हो मगर मर्द को यह देखना चाहिए कि उस के ज़िम्मा औरत के क्या हुक़ूक़ हैं उन्हें अदा करे और औरत शौहर के हुक़ूक़ देखे और पूरे करे यह न हो कि हर एक अपने हुक़ूक़ का मुतालबा करे और दूसरे के हुक़ूक़ से सरोकार न रखे और यही फ़साद की जड़ है और यह बहुत ज़रूरी है कि हर एक दूसरे की बेजा बातों का तहम्मुल करे और अगर किसी मौक़े पर दूसरी तरफ़ से ज़्यादती हो तो आमादा बफ़साद न हो कि ऐसी जगह ज़िद पैदा हो

जाती है और सुलझी हुई बात उलझ जाती है।

हदीस न.1 :– हाकिम ने उम्मुलमोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया औरतों पर सब आदमियों से ज़्यादा हक़ उस के शौहर का है और मर्द पर उस की माँ का

हदीस न.2 ता 5 :– निसाई अबू हुरैरा से और इमाम अहमद मआज़ से और हाकिम बुरीदा रदियल्लाहु तआला अन्हुम से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अगर मैं किसी शख़्स को किसी मख़लूक़ के लिए सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वह अपने शौहर को सजदा करे इसी की मिस्ल अबू दाऊद और हाकिम की रिवायत क़ैस बिन सअ़द रदियल्लाहु तआला अन्हु से है उस में सजदा की वजह भी बयान फ़रमाई कि अल्लाह तआला ने मर्दों का हक़ औरतों के ज़िम्मे कर दिया है।

हदीस न.6 :– इमाम अहमद व इब्ने माजा व इब्ने हब्बान अ़ब्दुल्लाह इब्ने अबी औफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर मैं किसी को हुक्म करता कि ग़ैर ख़ुदा के लिए सजदा करे तो हुक्म देता कि औरत अपने शौहर को सजदा करे क़सम है उस की जिस के क़ब्ज़ा–ए–क़ुदरत में मुहम्मद(सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम)की जान है औरत अपने परवरदिगार का हक़ अदा न करेगी जबतक शौहर के कुल हक़ अदा न करे।

हदीस न.7 :– इमाम अहमद अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर आदमी का आदमी के लिए सजदा करना दुरुस्त होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करे कि उस का उस के ज़िम्मे बहुत बड़ा हक़ है क़सम है उस की जिस के क़बज़–ए–क़ुदरत में मेरी जान है अगर क़दम से सर तक शौहर के तमाम जिस्म में ज़ख़्म हों जिन से पीप और कचलहू बहता हो फिर औरत उसे चाटे तो हक़्क़े शौहर अदा न किया।

हदीस न.8 :– सहीहैन में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं शौहर ने औरत को बुलाया उस ने इन्कार कर दिया और गुस्सा में उस ने रात गुज़ारी तो सुबह तक उस औरत पर फ़रिश्ते लअ़नत भेजते रहते हैं और दूसरी रिवायत में है कि जब तक शौहर उस से राज़ी न हुआ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उस औरत से नाराज़ रहता है।

हदीस न.9 :– इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा मआज़ रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब औरत अपने शौहर को दुनिया में ईज़ा देती है तो हूरें कहती हैं ख़ुदा तुझे क़त्ल करे इसे ईज़ा न दे यह तो तेरे पास मेहमान है अन्क़रीब तुझ से जुदा हो कर हमारे पास आयेगा।

हदीस न.10 :– तबरानी मआज़ रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया औरत ईमान का मज़ा न पायेगी जब तक शौहर का हक़ अदा न करे।

हदीस न.11 :– तबरानी मैमूना रदियल्लाहु तआला अन्हा से रावी कि फ़रमाया जो औरत ख़ुदा की इताअ़त करे और शौहर का हक़ अदा करे और उसे नेक काम की याद दिलाये और अपनी अ़समत और उस के माल में ख़ियानत न करे तो उस के और शहीदों के दरमियान जन्नत में एक दरजा का

फ़र्क़ होगा फिर उस का शौहर बा ईमान नेक ख़ू (नेक आदत) ता जन्नत में वह उस की बीवी है वरना शोहदा में से कोई उस का शौहर होगा।

हदीस न.12 :– अबू दाऊद व तियालसी व इब्ने असाकर इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि शौहर का हक़ औरत पर यह है कि अपने नफ़्स को उस से न रोके और सिवा फ़र्ज़ के किसी दिन बग़ैर उस की इजाज़त के रोज़ा न रखे अगर ऐसा किया यानी बग़ैर इजाज़त रोज़ा रख लिया तो गुनाहगार हुई और बिदूने इजाज़त (बिग़ैर इजाज़त) उस का कोई अमल मक़बूल नहीं अगर औरत ने कर लिया तो शौहर को सवाब है और औरत पर गुनाह और बग़ैर इजाज़त उस के घर से न जाये अगर ऐसा किया तो जबतक तोबा न करे अल्लाह और फ़रिश्ते उस पर लअ़नत करते हैं अर्ज़ की गई अगर्चे शौहर ज़ालिम हो फ़रमाया अगर्चे ज़ालिम हो।

हदीस न.13 :– तिबरानी तमीम दारी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया औरत पर शौहर का हक़ यह है कि उसके बिछौने न को छोड़े और उसकी क़सम को सच्चा करे और बग़ैर उसकी इजाज़त के बाहर न जाये और ऐसे शख़्स को मकान में आने न दे जिस का आना शौहर को पसन्द न हो।

हदीस न.14 :– अबू नईम अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाया ऐ औरतों! ख़ुदा से डरो और शौहर की रज़ा मन्दी की तलाश में रहो इस लिए कि औरत को अगर मालूम होता कि शौहर का क्या हक़ है तो जब तक उस के पास खाना हाज़िर रहता यह खड़ी रहती।

हदीस न.15 :– अबू नईम हिल्या में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया औरत जब पाँचों नमाज़ें पढ़े और माहे रमज़ान के रोज़े रखे और अपनी इफ़्फ़त की मुहाफ़ज़त करे और शौहर की इताअ़त करे तो जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे दाख़िल हो।

हदीस न.16 :– तिर्मिज़ी उम्मुलमोमिनीन उम्मे सल्मा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो औरत उस हाल में मरी कि शौहर राज़ी था वह ज़न्नत में दाख़िल होगी।

हदीस न.17 :– बैहक़ी शोअ़बुलईमान में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लललाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तीन शख़्स हैं जिनकी नमाज़ क़बूल नहीं होती और उन की कोई नेकी बलन्द नहीं होती 1. भागा हुआ ग़ुलाम जबतक अपने आक़ाओं के पास लौट न आये और अपने को उनके क़ाबू में न दे दें 2. और वह औरत जिस का शौहर उस पर नाराज़ हो 3. नशा वाला जबतक होश में न आये यह चन्द हदीसें हुक़ूके शौहर की ज़िक्र की गईं औरतों पर लाज़िम है कि हुक़ूके शौहर का तहफ़्फ़ुज़ करें और शौहर को नाराज़ कर के अल्लाह तआ़ला की नाराज़गी का वबाल अपने सर न लें कि उस में दुनिया व आख़िरत दोनों की बरबादी है न दुनिया में चैन न आख़िरत में राहत अब बाज़ वह अहादीस ज़िक्र की जाती हैं कि मर्दों को औरतों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए मर्दों पर ज़रूरी है कि उन का लिहाज़ करे और इन इरशादाते आलिया की पाबन्दी करे।

हदीस न.18 :– बुख़ारी व मुस्लिम अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया औरतों के बारे में भलाई करने की मैं वसियत फ़रमाता हूँ तुम मेरी इस वसियत को क़बूल करो वह पसली से पैदा की गई और पसलियों में सब से ज़्यादा टेढ़ी ऊपर वाली है अगर तू उसे सीधा करने चले तो तोड़ देगा और अगर वैसी ही रहने दे तो टेढ़ी बाक़ी रहेगी और मुस्लिम शरीफ़ की दूसरी रिवायत में है कि औरत पसली से पैदा की गई वह तेरे लिए कभी सीधी नहीं हो सकती अगर तू उसे बरतना चाहे तो इसी हालत में बरत सकता है और सीधा करना चाहेगा तो तोड़देगा और तोड़ना तलाक़ देना है।

हदीस न.19 :– सहीह मुस्लिम में उन्हीं से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया मुसलमान मर्द मोमिना को मबग़ूज़ न रखे अगर उस की एक आ़दत बुरी मालूम होती है दूसरी पसन्द होगी यानी तमाम आ़दतें ख़राब नहीं होंगी जबकि अच्छी बुरी हर क़िस्म की बातें होंगी तो मर्द को यह न चाहिए कि ख़राब ही आ़दत को देखता रहे बल्कि बुरी आ़दत से चश्म पोशी करे और अच्छी आ़दत की तरफ़ नज़र करे।

हदीस न.20 :– हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया तुम में अच्छे वह लोग हैं जो औरतों से अच्छी तरह पेश आयें।

हदीस न.21 :– सहीहैन में अ़ब्दुल्लाह इब्ने ज़ोमआ़ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कोई शख़्स अपनी औरत को न मारे जैसे ग़ुलाम को मारता है फिर दूसरे वक़्त उस से मुजामअ़त करेगा दूसरी रिवायत में है कि औरत को ग़ुलाम की तरह मारने का क़स्द करता है (यानी ऐसा न करे) कि शायद दूसरे वक़्त उसे अपना हम ख़्वाब करे यानी ज़ौजियत के तअ़ल्लुक़ात इस क़िस्म के हैं कि हर एक को दूसरे की हाजत और बाहम ऐसे मरासिम कि उनको छोड़ना दुश्वार लिहाज़ा जो इन बातों का ख़्याल करेगा मारने का हरगिज़ क़स्द न करेगा।

शादी के रुसूम

शादियों में तरह तरह की रसमें बरती जाती हैं हर एक मुल्क में नये नये रुसूम हर क़ौम व ख़ानदान के रिवाज और तरीक़े जुदागाना जो रस्में हमारे मुल्क में जारी हैं उन में बाज़ का ज़िक्र किया जाता है रुसूम की बिना उ़र्फ़ पर है यह कोई नहीं समझता कि शरअ़न वाजिब या सुन्नत या मुस्तहब है लिहाज़ा जब तक किसी रस्म की मुमानअ़त शरीअ़त से साबित न हो उस वक़्त तक उसे हराम व नाजाइज़ नहीं कह सकते खींच तानकर ममनूअ़ क़रार देना ज़्यादती है मगर यह ज़रूर है कि रुसूम की पाबन्दी उसी हद तक कर सकता है कि किसी फ़ेले हराम में मुब्तला न हो बाज़ लोग इस क़द्र पाबन्दी करते हैं कि नाजाइज़ फ़ेल करना पड़े तो पड़े मगर रस्म का छोड़ना गवारा नहीं मसलन लड़की जवान है और रुसूम अदा करने को रुपया नहीं तो यह न होगा कि रुसूम छोड़ दें और निकाह कर दें कि सुबुकदोश हो और फ़ितना का दरवाज़ा बन्द हो अब रुसूम के पूरा करने को भीक माँगते तरह तरह की फ़िकरें करते इस ख़्याल में कि कहीं से माल मिल जाये तो शादी करें बरसें गुज़ार देते हैं और बहुत सी ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं बाज़ लोग क़र्ज़ लेकर रुसूम को अन्जाम देते हैं यह ज़ाहिर कि मुफ़्लिस को क़र्ज़ दे कौन फिर जब यूँ क़र्ज़ न मिला तो बनियों के पास गये और सूदी क़र्ज़ की नोबत आई सूद लेना जिस तरह हराम उसी तरह देना भी हराम

हदीस में दोनों पर लअ़नत आई अल्लाह व रसूल की लअ़नत के मुस्तहक होते हैं और शरीअ़त की मुख़ालफ़त करते हैं मगर रस्म छोड़ना गवारा नहीं करते फिर अगर बाप दादा की कमाई हुई कुछ जायदाद है तो उसे सूदी कर्ज़ में मकफूल किया वरना रहने का झोंपड़ा ही गिरवी रखा थोड़े दिनों में सूद का सैलाब सब को बहा ले गया जायदाद नीलाम हो गई मकान बनिये के कब्ज़े में गया दर बदर मारे मारे फिरते हैं न खाने का ठिकाना न रहने की जगह उसकी मिसालें हर जगह बकसरत मिलेंगी कि ऐसे ही ग़ैर ज़रूरी मसारिफ़ की वजह से मुसलमानों की बेशतर जाइदादें सूद की नज़र हो गयीं फिर कर्ज़ ख़्वाह के तकाज़े और उसके तशद्दुद आमेज़ लहजा से रही सही इ़ज़्ज़त पर भी पानी पड़जाता है यह सारी तबाही, बरबादी, आँखों देख रहे हैं मगर अब भी इबरत नहीं होती और मुसलमान अपनी फ़ुज़ूल ख़र्चियों से बाज़ नहीं आते यही नहीं कि उसी पर बस हो उस की ख़राबियाँ इसी ज़िन्दगी दुनिया ही तक महदूद हों बल्कि आख़िरत का वबाल अलग है बमूजिब हदीसे सहीह लअ़नत का इस्तिहकाक वलअ़याज़ुबिल्लाहे तआ़ला अकसर जाहिलों में रिवाज़ है कि महल्ले या रिश्ते की औरतें जमअ़ होती हैं और गाती बजाती हैं यह हराम है अव्वलन ढोल बजाना ही हराम फिर औरतों का गाना मज़ीद बरआँ औरत की आवाज़ ना महरमों को पहुँचना और वह भी गाने की और वह भी इश्क व हिज्र व विसाल के अशआ़र या गीत जो औरतें अपने घरों में चिल्ला कर बात करना पसन्द नहीं करतीं घर से बाहर आवाज़ जाने को मअ़यूब जानती हैं ऐसे मौक़ों पर वह भी शरीक हो जाती हैं गोया उन के नज़्दीक गाना कोई ऐब ही नहीं कितनी ही दूर तक आवाज़ जाये कोई हर्ज नहीं नीज़ ऐसे गाने में जवान जवान कुँवारी लड़कियाँ भी होती हैं उन का ऐसे अशआ़र पढ़ना या सुनना किस हद तक उनके दबे हुए जोश को उभारेगा और कैसे कैसे वलवले पैदा करेगा और अख़लाक व आ़दात पर उसका कहाँ तक असर पढ़ेगा यह बातें ऐसी नहीं जिन के समझाने की ज़रूरत हो सुबूत पेश करने की हाजत हो नीज़ इसी ज़िम्न में रत जगा भी है कि रात भर गाती हैं और गुलगुले पकते हैं सुबह को मस्जिद में ताक भरने जाती हैं यह बहुत सी ख़ुराफ़ात पर मुश्तमिल है नियाज़ घर में भी हो सकती है और अगर मस्जिद ही में हो तो मर्द ले जा सकते हैं औरतों की क्या ज़रूरत फिर अगर इस रस्म की अदा के लिए औरत ही होना ज़रूर हो तो उस जगह जमगठे की क्या हाजत फिर जवानों और कुँवारियों की उसमें शिरकत और ना महरम के सामने जाने की जुरअ़त किस कद्र हिमाकत है फिर बाज़ जगह यह भी देखा गया कि इस रस्म के अदा करने के लिए चलती हैं तो वही गाना बजाना साथ होता है उसी शान से मस्जिद तक पहुँचती हैं हाथ में एक चोमुक होता है यह सब नाजाइज़ जब सुबह होगई चिराग़ की क्या ज़रूरत और अगर चिराग़ की हाजत है तो मिट्टी का काफ़ी है आटे का चिराग़ बनाना और तेल की जगह घी जलाना फ़ुज़ूल ख़र्ची है दूल्हा दुल्हन को उब्टन लगाना माईयों बिठाना जाइज़ है उन में कोई हर्ज नहीं दूल्हा को मेंहदी लगाना नाजाइज़ है यूँही कंगना बाँधना, दाल बरी की रस्म कि कपड़े वग़ैरा भेजे जाते हैं जाइज़, दूल्हा को रेशमी कपड़े पहनाना हराम यूँही मिग़रक जूते भी नाजाइज़ और ख़ालिस फूलों का सेहरा जाइज़ बिला वजह ममनूअ़ नहीं कहा जा सकता। नाच, बाजे, आतिशबाज़ी, हराम हैं कौन उनकी हुरमत से वाक़िफ़ नहीं मगर बाज़ लोग ऐसे मुनहमिक होते हैं कि यह न हो तो गोया शादी ही न हुई बल्कि बाज़ तो इतने बेबाक होते हैं कि अगर शादी में यह मुहर्रमात न हों तो उसे ग़मी और जनाज़ा से तअ़बीर करते हैं यह ख़्याल नहीं करते कि एक तो गुनाह और शरीअ़त

की मुख़ालफ़त है दूसरे माल ज़ाइअ् करना है तीसरे तमाम तमाशाईयों के गुनाह का यही सबब है और सब के मजमुआ़ के बराबर उस पर गुनाह का बोझ आतिशबाज़ी में कभी कपड़े जलते कभी किसी के मकान या छप्पर में आग लगजाती है कोई जल जाता है नाच में जिन फ़वाहिश व बदकारियों और मुख़रिबे अख़लाक़(अख़लाक़ ख़राब करने वली) बातों का इजतिमाअ् है उन के बयान की ह़ाजत नहीं ऐसी ही मज्लिसों से अकसर नौजवान आवारा हो जाते हैं धन दौलत बरबाद कर बैठतें हैं बाज़ारियों से तअ़ल्लुक़ और घर वाली से नफ़रत पैदा हो जाती है कैसे बुरे बुरे नताइज रुनुमा होते हैं और अगर इन बेहूदा कारियों से कोई महफ़ूज़ रहा तो इतना ज़रूर होता है कि ह़या व ग़ैरत उठा कर ताक़ पर रख देता है बाज़ों को यहाँ तक सुना गया है कि ख़ुद भी देखते हैं और साथ साथ जवान बेटों को दिखाते हैं ऐसी बद तहज़ीबी के मजमेअ् में बाप बेटे का साथ होना कहाँ तक ह़या व ग़ैरत का पता देता है शादी में नाच बाजे का होना बाज़ के नज़दीक इतना ज़रूरी अम्र है कि निस्बत के वक़्त तै कर लेते हैं कि नाच लाना होगा वरना हम शादी न करेंगे लड़की वाला यह नही ख़्याल करता कि बेजा सर्फ़ न हो तो उसी की औलाद के काम आयेगा एक वक़्ती ख़ुशी में यह सब कुछ कर लिया मगर यह न समझा कि लड़की जहाँ बियाह कर गई वहाँ तो अब उस के बैठने का भी ठिकाना न रहा एक मकान था वह भी सूद में गया अब तकलीफ़ हुई तो मियाँ बीवी में लड़ाई ठनी और उस का सिलसिला दराज़ हुआ तो अच्छी ख़ासी जंग क़ाइम हो गई यह शादी हुई या एअ़लाने जंग हम ने माना कि यह ख़ुशी का मौक़ा है और मुद्दत की आरज़ू के बाद यह दिन देखने नसीब हुए बेशक ख़ुशी करो मगर ह़द से गुज़रना और ह़ुदूदे शरअ् से बाहर हो जाना किसी आ़क़िल का काम नहीं वलीमा सुन्नत है ब नियत इत्तिबाअ्–ए–रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम वलीमा करो ख़ेश व अक़ारिब और दूसरे मुसलमानों को खाना खिलाओ बिलजुमला मुसलमान पर लाज़िम है कि अपने हर काम को शरीअ़त के मुवाफ़िक़ करे अल्लाह व रसूल की मुख़ालफ़त से बचे उसी में दीन व दुनिया की भलाई है।

وَ هُوَ حَسْبِیْ وَ نِعْمَ الْوَکِیْلُ وَ اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ وَ عَلَیْهِ التُّکْلَان

हिन्दी तर्जमा

मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

सितम्बर 2010 ई.

जुमला हुकूक़ बहक़्क़े नाशिर महफ़ूज़

नाम किताब — बहारे शरीअत (आठवाँ हिस्सा)

मुसन्निफ़ — सदरुश्शरीअ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमह

हिन्दी तर्जमा — मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

कम्प्यूटर कम्पोज़िंग — मौलाना मुहम्मद शफ़ीकुल हक़ रज़वी

क़ीमत जिल्द अव्वल — 500/

तादाद — 1000

इशाअ़त — 2010 ई.

मिलने के पते :

1. मकतबा नईमिया ,मटिया महल, दिल्ली।
2. फ़ारूक़िया बुक डिपो ,मटिया महल ,दिल्ली।
3. नाज़ बुक डिपो ,मोहम्मद अ़ली रोड़ मुम्बई
4. अलकुरआन कम्पनी ,कमानी गेट,अजमेर।
5. चिश्तिया बुक डिंपो दरगाह शरीफ़ अजमेर।
6. क़ादरी दारुल इशाअ़त, 523 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली। 9312106346
7. मकतबा रहमानिया रज़विया दरगाह आ़ला हज़रत बरेली शरीफ़

फ़ेहरिस्त

अर्ज़े मुतर्जिम

ज़ेरे नज़र किताब बहारे शरीअत उर्दू ज़बान में बहुत मशहूर व मअ़रूफ़ किताब है हिन्दी ज़बान में अभी तक फ़िक़्ही मसाइल पर इतनी ज़ख़ीम किताब मन्ज़रे आम पर नहीं आई काफ़ी अ़र्से से ख़्वाहिश थी कि बहारे शरीअ़त मुकम्मल हिन्दी में तर्जमा की जाये ताकि हिन्दी दाँ हज़रत को फ़िक़्ही मसाइल पर पढ़ने के लिए तफ़्सीली किताब दस्तयाब हो सके।

मैंने इस किताब का तर्जमा करने में ख़ालिस हिन्दी अलफ़ाज़ का इस्तेमाल नहीं किया उस की वजह यह कि आज भी हिन्दुस्तान में आम बोलचाल की ज़बान उर्दू है अगर हिन्दी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता तो किताब और ज़्यादा मुश्किल हो जाती इसी लिए किताब के मुश्किल अलफ़ाज़ को आसान उर्दू में हिन्दी लिपि में लिखा गया है।

बहारे शरीअ़त उर्दू में बीस हिस्से तीन या चार जिल्दों में दस्तेयाब हैं अगर इस किताब का अच्छी तरह से मुताला कर लिया जाये तो मोमिन को अपनी जिन्दगी में पेश आने वाले तक़रीबान तमाम मसाइल की जानकारी हासिल हो सकती है। इस किताब में अक़ाइद मुआ़मलात तहारत, नमाज़, रोज़ा ,हज, ज़कात, निकाह, तलाक़, ख़रीद ,फ़रोख़्त ,अख़लाक़,ग़रज़ कि ज़रूरत के तमाम मसाइल का बयान है।

काफ़ी अ़र्से से तमन्ना थी कि मुकम्मल बहारे शरीअ़त हिन्दी में पेश की जाये ताकि हिन्दी दाँ हज़रात इस से फ़ायदा हासिल कर सकें-बहारे शरीअ़त की बीस हिस्सों की कम्पोज़िंग मुकम्मल हो चुकी है जिस को दो जिल्दो में पेश करने का इरादा है।

कुछ मजबूरियों की वजह से दस हिस्सों की एक जिल्द पेश की जारही है कुछ ही वक़्त के बाद बाक़ी दस हिस्सों की दूसरी जिल्द आप के सामने होगी यह हिन्दी में फ़िक़्ही मसाइल पर सब से ज़्यादा तफ़सीली किताब होगी कोशिश यह की गई है कि ग़लतियों से पाक किताब हो और मसाइल भी न बदल पाये अभी तक मार्केट में फ़िक़्ह के बारे में पाई जाने वाली हिन्दी की अकसर किताबों में मसाइल भी बदल गये हैं और उन के अनुवादकों को इस बात का एहसास तक न हो सका यह उन के दीनी तालीम से वाक़िफ़ न होने की वजह है। मगर शौक़ उनका यह है कि दीनी किताबों को हिन्दी में लायें उनको मेरा मशवरा यह है कि अपना यह शौक़ पूरा करने के लिए बाक़ाएदा मदर्से में दीनी तालीम हासिल करें और किसी आ़लिमे दीन की शागिर्दी इख़्तेयार करें ताकि हिन्दी में सही तौर पर किताबें छापने का शौक़ पूरा हो सके।

फिर भी मुझे अपनी कम इल्मी का एहसास है। क़ारेईन किताब में किसी भी तरह की ग़लती पायें तो ख़ादिम को ज़रूर इत्तिलाअ़ करें ताकि अगले एडीशन में सुधार कर लिया जाये किताब को आसान करने की काफ़ी कोशिश की गई है फिर भी अगर कहीं मसअ़ला समझ में न आये तो किसी सुन्नी सहीहुल अक़ीदा आ़लिमे दीन से समझलें ताकि दीन का सही इल्म हासिल हो सके किताब का मुतालआ़ करने के दौरान उ़लमा से राब्ता रखें वक़्तन फ़ वक़्तन किताब में पेश आने वाले मसाइल को समझते रहें।

अल्लाह तआ़ला की बारगाह में दुआ़ है कि वह अपने हबीबे अकरम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम के सदक़े में इस किताब के ज़रीए क़ारेईन को भरपूर फ़ायदा अ़ता फ़रमाये और इस तर्जमे को मक़बूल व मशहूर फ़रमाये और मुझ ख़ताकार व गुनाहगार के लिए बख़्शिश का ज़रीआ़ बनाये आमीन!

ख़ादिमुल उ़लमा

मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

30 सितम्बर सन.2010

بسم الله الرّحمٰن الرّحيمo
نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِo

तलाक़ का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ط

तर्जमा :– "तलाक़ (जिस के बाद रजअत हो सके)दो बार तक है फिर भलाई के साथ रोक लेना है या निकोई के साथ छोड़ देना"

और फ़रमाता है :

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ط فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَّتَرَاجَعَاۤ اِنْ ظَنَّاۤ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ط وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَo

तर्जमा :– "फिर अगर तीसरी तलाक़ दी तो उस के बाद वह औरत उसे हलाल न होगी जब तक दूसरे शौहर से निकाह न करे फिर अगर दूसरे शौहर ने तलाक़ देदी तो उन दोनों पर गुनाह नहीं कि दोनों आपस में निकाह कर लें अगर यह गुमान हो कि अल्लाह के हुदूद को क़ाइम रखेंगे और यह अल्लाह की हदें हैं उन लोगों के लिए बयान करता है जो समझदार हैं।"

और फ़रमाता है :

وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ص وَّلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ج وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ط وَلَا تَتَّخِذُوْۤا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ز وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَاۤ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمٌo

तर्जमा :– और जब तुम औरतों को तलाक़ दो और उन की मीआद पूरी होने लगे तो उन्हें भलाई के साथ रोक लो या खूबी के साथ छोड़दो और उन्हें ज़रर(नुकसान)देने के लिए न रोको कि हद से गुज़र जाओ और जो ऐसा करेगा उस ने अपनी जान पर ज़ुल्म किया और अल्लाह की आयतों को ठट्टा न बनाओ और अल्लाह की नेअ़मत जो तुम पर है उसे याद करो और जो उस ने किताब व हिकमत तुम पर उतारी तुम्हें नसीहत देने को और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह हर शय को जानता है।

और फ़रमाता है :

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكُمْ اَزْكٰی لَكُمْ وَ اَطْهَرُ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَo

तर्जमा :– " और जब औरतों को तलाक़ दो और उन की मीआद पूरी हो जाये तो ऐ औरतों के वालियों उन्हें शौहरों से निकाह करने से न रोको जबकि आपस में मुवाफ़िक़े शरअ़ रज़ा मन्द होजायें। यह उस को नसीहत की जाती है जो तुम में से अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो। यह तुम्हारे लिए ज़्यादा सुथरा और पाकीज़ा है और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते"

हदीस न.1 :– दारे कुत्नी मआज़ रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु

तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐ मआज़ कोई चीज़ अल्लाह ने गुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा पसन्दीदा रूऐ ज़मीन पर पैदा नहीं की और कोई शै रूऐ ज़मीन पर तलाक़ से ज़्यादा ना पसन्दीदा पैदा न की।

हदीस न.2 :– अबू दाऊद, ने इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया कि तमाम हलाल चीज़ों में ख़ुदा के नज़्दीक ज़्यादा नापसन्दीदा तलाक़ है।

हदीस न.3 :– इमाम अहमद जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया कि इब्लीस अपना तख़्त पानी पर बिछाता है और अपने लश्कर को भेजता है और सब से ज़्यादा मरतबा वाला उस के नज़्दीक वह है जिस का फ़ितना बड़ा होता है उन में एक आकर कहता है मैंने यह किया इब्लीस कहता है तूने कुछ नहीं किया दूसरा आता है और कहता है मैं ने मर्द और औरत में जुदाई डालदी उसे अपने क़रीब कर लेता है और कहता है हाँ तू है।

हदीस न.4 :– तिर्मिज़ी ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया कि हर तलाक़ वाक़ेअ् है मगर मअ्तूह (यानी बोहरे)की और उसकी जिस की अक़्ल जाती रही यानी मजनून की।

हदीस न.5 :– इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व इब्ने माजा व दारमी सोबान रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो औरत बग़ैर किसी हर्ज के शौहर से तलाक़ का सवाल करे उस पर जन्नत की ख़ुश्बू हराम है।

हदीस न.6 :– बुख़ारी व मुस्लिम अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि उन्होंने अपनी ज़ौजा को हैज़ की हालत में तलाक़ देदी थी हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इस वाक़िआ को ज़िक्र किया हुज़ूर ने उस पर ग़ज़ब फ़रमाया और यह इरशाद फ़रमाया कि उस से रजअ़त कर ले और रोके रखे यहाँ तक कि पाक हो जाये फिर हैज़ आये और पाक हो जाये उसके बाद अगर तलाक़ देना चाहे तो तहारत की हालत में जिमाअ् से पहले तलाक़ दे।

हदीस न.7 :– निसाई ने महमूद इब्ने लुबैद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तअला अलैहि वसल्लम को यह ख़बर पहुँची कि एक शख़्स ने अपनी ज़ौजा को तीन तलाक़ें एक साथ देदीं उस को सुन कर ग़ुस्सा में खड़े हो गये और यह फ़रमाया कि किताबुल्लाह से खेल करता है हालाँकि मैं तुम्हारे अन्दर अभी मौजूद हूँ।

हदीस न. (8)इमाम मालिक मुअत्ता में रिवायत करते हैं कि एक शख़्स ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से कहा मैंने अपनी औरत को सौ तलाक़ें देदीं आप क्या हुक्म देते हैं फ़रमाया तेरी औरत तीन तलाक़ों से बाइन हो गई और सतानवे तलाक़ के साथ तूने अल्लाह की आयतों से ठट्टा किया।

अहकामे फ़िक़्हिय्या

" निकाह से औरत शौहर की पाबन्द हो जाती है उस पाबन्दी के उठा देने को तलाक़ कहते हैं" और उस के लिए कुछ अल्फ़ाज़ मुक़र्रर हैं जिन का बयान आगे आयेगा। उस की दो सूरतें हैं एक यह कि उसी वक़्त निकाह से बाहर हो जाये उसे **बाइन** कहते हैं दोम यह कि इद्दत गुज़रने पर बाहर होगी उसे **रजई** कहते हैं।

मसअ्ला :– तलाक़ देना जाइज़ है मगर बेवजहे शरई ममनूअ् (मना)है और वजहे शरई हो तो मुबाह (जाइज़)बल्कि बाज़ सूरतों में मुस्तहब मसलन औरत उस को या औरों को ईज़ा देती या नमाज़ नहीं पढ़ती है अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अ़न्हु फ़रमाते हैं कि बे नमाज़ी औरत को तलाक़ देदूँ और उस का महर मेरे ज़िम्मा बाक़ी हो उस हालत के साथ दरबारे ख़ुदा में मेरी पेशी हो तो यह उस से बेहतर है कि उस के साथ ज़िन्दगी बसर करूँ और बाज़ सूरतों में तलाक़ देना वाजिब है मसलन शौहर नामर्द या हिजड़ा है या उस पर किसी ने जादू या अ़मल कर दिया है कि जिमाअ् करने पर क़ादिर नहीं और उस के इज़ाला (ठीक होने) की भी कोई सूरत नज़र नहीं आती कि उन सूरतों में तलाक़ न देना सख़्त तकलीफ़ पहुँचाना है (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– **तलाक़ की तीन किस्में हैं** न.1. **हसन** न. 2. **अहसन** न. 3. **बिदई** जिस तोहर (महीने के पाकी के दिन)में वती न की हो उस में एक तलाके रजई दे और छोड़े रहे यहाँ तक कि इद्दत गुज़र जाये यह अहसन है। और गै़र मौतूह को तलाक़ दी अगर्चे हैज़ के दिनों में दी हो या मौतूह(जिस से वती यानी सम्भोग कर लिया हो) को तीन तोहर में तीन तलाकें दीं बशर्त कि न उन तोहरों में वती की हो न हैज़ में या तीन महीने में तीन तलाकें उस औरत को दीं जिसे हैज़ नहीं आता मसलन नाबालिग़ा या हमल वाली है या अयास(वह उ़म्र जब से हैज़ यानी माहवारी आना बन्द हो जाती है) की उ़म्र को पहुँचगई तो यह सब सूरतें **तलाक़ हसन** की हैं। हमल वाली या सिन्ने अयास वाली को वती के बाद तलाक़ देने में कराहत नहीं। यूँही अगर उस की उ़म्र नौ साल से कम की हो तो कराहत नहीं। और नौ बरस या ज़्यादा की उ़म्र है मगर अभी हैज़ नहीं आया है तो अफ़ज़ल यह है कि वती व तलाक़ में एक महीने का फ़ासला हो **बिदई** यह कि एक तोहर में दो या तीन तलाक़ देदे तीन दफ़अ् में या दो दफ़अ् या एक ही दफ़अ् ख़्वाह तीन बार लफ़्ज़ कहे या यूँ कह दिया कि तुझे तीन तलाकें या एक ही तलाक़ दी मगर उस तोहर में वती कर चुका है या मौतूह को हैज़ में तलाक़ दी या तोहर ही में तलाक़ दी मगर उस से पहले जो हैज़ आया था उस में वती की थी या उस हैज़ में तलाक़ दी थी या यह सब बातें नहीं मगर तोहर में तलाके बाइन दी (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– हैज़ में तलाक़ दी तो रजअ़त वाजिब है कि उस हालत में तलाक़ देना गुनाह था अगर तलाक़ देना ही है तो हैज़ के बाद तोहर गुज़र जाये फिर हैज़ आकर पाक हो अब दे सकता है यह उस वक़्त है कि जिमाअ् से रजअ़त की हो और अगर क़ौल या बोसा लेने या छूने से रजअ़त की हो तो उस हैज़ के बाद जो तोहर है उस में भी तलाक़ दे सकता है उस के बाद दूसरे तोहर के इन्तिज़ार की हाजत नहीं (जौहरा वग़ैरहा)

मसअ्ला :– मौतूह से कहा तुझे सुन्नत के मुवाफ़िक दो या तीन तलाकें अगर उसे हैज़ आता है तो हर तोहर में एक वाकेअ् होगी पहली उस तोहर में पड़ेगी जिस में वती न की हो। और अगर यह कलाम उस वक़्त कहा कि पाक थी और उस तोहर में वती भी नहीं की है तो एक फ़ौरन वाकेअ् होगी और अगर उस वक़्त हैज़ है या पाक है मगर उस तोहर में वती कर चुका है तो अब हैज़ के बाद पाक होने पर पहली तलाक़ वाकेअ् होगी। और गै़र मौतूह है या उसे हैज़ नहीं आता तो एक फ़ौरन वाकेअ् होगी अगर्चे गै़र मौतूह को उस वक़्त हैज़ हो फिर अगर गै़र मौतूह है तो बाक़ी उस वक़्त वाकेअ् होंगी कि उस से निकाह करे क्योंकि पहली ही तलाक़ से बाइन होगई और निकाह से निकल गई दूसरी के लिए महल न रही और अगर मौतूह है मगर हैज़ नहीं आता तो दूसरे

महीने में दूसरी और तीसरे महीने में तीसरी वाक़ेअ् होगी और अगर उस कलाम से यह नीयत की कि तीनों अभी पड़ जायें या हर महीने के शुरूअ् में एक वाक़ेअ् हो तो यह नीयत भी सहीह है (दुर्रे मुख़्तार)मगर ग़ैर मौतूह में यह नियत कि हर माह के शुरूअ् में एक वाक़ेअ् हो बेकार है कि वह पहली ही से बाइन हो जायेगी और महल न रहेगी।

मसअ्ला :– तलाक़ के लिए शर्त यह है कि शौहर आक़िल बालिग़ हो। नाबालिग़ या मजनून न ख़ुद तलाक़ दे सकता है न उस की तरफ़ से उस का वली मगर नशा वाले ने तलाक़ दी तो वाक़ेअ् हो जायेगी कि यह आक़िल के हुक्म में है। और नशा ख़्वाह शराब पीने से हो या बिंग वग़ैरा किसी और चीज़ से। अफ़यून की पैंक में तलाक़ दे दी जब भी वाक़ेअ् हो जायेगी तलाक़ में औरत की जानिब से कोई शर्त नहीं नाबालिग़ा हो या मजनूना बहर हाल तलाक़ वाक़ेअ् होगी। (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी ने मजबूर कर के उसे नशा पिला दिया या हालते इज़्तिरार में पिया (मसलन प्यास से मर रहा था और पानी न था) और नशा में तलाक़ दे दी तो सहीह यह है कि वाक़ेअ् न होगी। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– यह शर्त नहीं कि मर्द आज़ाद हो ग़ुलाम भी अपनी ज़ौजा को तलाक़ दे सकता है और मौला उस की ज़ौजा को तलाक़ नहीं दे सकता और यह भी शर्त नहीं कि ख़ुशी से तलाक़ दी जाये बल्कि इकराहे शरई की सूरत में भी तलाक़ वाक़ेअ् हो जायेगी (जौहरा–ए–नय्यरा)

मसअ्ला :– अल्फ़ाज़े तलाक़ बतौरे हज़्ल कहे यानी उस से दूसरे मअ्ना का इरादा किया जो नहीं बन सकते जब भी तलाक़ हो गई यूँही ख़फ़ीफ़ुलअक़्ल की तलाक़ भी वाक़ेअ् है और बोहरा मजनून के हुक्म में है (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– गूँगे ने इशारे से तलाक़ दी हो गई जबकि लिखना न जानता हो और लिखना जानता हो तो इशारे से न होगी बल्कि लिखने से होगी (फ़त्हुलक़दीर)

मसअ्ला :– कोई और लफ़्ज़ कहना चाहता है ज़ुबान से लफ़्ज़ तलाक़ निकल गया या लफ़्ज़े तलाक़ बोला मगर उस के मअ्ना नहीं जानता या सहवन या ग़फ़लत में कहा इस सब सूरतों में तलाक़ वाक़ेअ् हो गयी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मरीज़ जिस का मर्ज़ उस हद को न पहुँचा हो कि अक़्ल जाती रहे उस की तलाक़ वाक़ेअ् है काफ़िर की तलाक़ वाक़ेअ् है यानी जबकि मुसलमान के पास मुक़द्दमा पेश हो तो तलाक़ का हुक्म देगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मजनून ने होश के ज़माना में किसी शर्त पर तलाक़े मुअल्लक़ की थी और वह शर्त ज़माना–ए–जुनून में पाई गई तो तलाक़ हो गई मसलन यह कहा था कि अगर मैं उस घर में जाऊँ तो तुझे तलाक़ है और अब जुनून की हालत में उस घर में गया तो तलाक़ होगई हाँ अगर होश के ज़माना में यह था कि मैं मजनून हो जाऊँ तो तुझे तलाक़ है तो मजनून होने से तलाक़ न होगी। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मजनून नामर्द है या उस का अज़्वे तनासुल (लिंग)कटा हुआ है या औरत मुसलमान हो गई और मजनून के वालिदैन इस्लाम से मुन्किर हैं तो इन सब सूरतों में क़ाज़ी तफ़रीक़ (यानी मियाँ बीवी की जुदाई) कर देगा और यह तफ़रीक़ तलाक़ होगी। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– सरसाम व बरसाम या किसी और बीमारी में जिस में अक़्ल जाती रही या ग़शी की हालत में या सोते में तलाक़ देदी तो वाक़ेअ् न होगी यूँही अगर ग़ुस्सा उस हद का हो कि अक़्ल

जाती रहे तो वाक़ेअ़ न होगी (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार) आजकल अकसर लोग तलाक़ दे बैठते हैं बाद को अफ़सोस करते और तरह तरह के हीले से यह फ़तवा लेना चाहते हैं कि तलाक़ वाक़ेअ़ न हो एक उज़्र अकसर यह भी है कि ग़ुस्सा में तलाक़ दी थी मुफ़्ती को चाहिए यह अम्र मलहूज़ रखे कि मुतलक़न ग़ुस्सा का एअ़्तिबार नहीं मामूली ग़ूस्सा में तलाक़ हो जाती है वह सूरत कि अ़क़्ल ग़ुस्सा से जाती रहे बहुत नादिर है लिहाज़ा जब तक उसका सुबूत न हो महज़ साइल के कहदेने पर एअ़्तिमाद न करे।

मसअ्ला :— अ़ददे तलाक़ में औ़रत का लिहाज़ किया जायेगा यानी औ़रत आज़ाद हो तो तीन तलाक़ें हो सकती हैं अगर्चे उस का शौहर गुलाम हो और बान्दी हो तो उसे दो ही तलाक़ें दी जा सकती हैं अगर्चे शौहर आज़ाद हो (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :— नाबालिग़ की औ़रत मुसलमान हो गई और शौहर पर क़ाज़ी ने इस्लाम पेश किया अगर वह समझदार है और इस्लाम से इन्कार करे तो तलाक़ हो गई (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :— ज़बान से अल्फ़ाज़े तलाक़ न कहे मगर किसी ऐसी चीज़ पर लिखे कि हुरूफ़ मुमताज़ न होते हों मसलन पानी या हवा पर तलाक़ न होगी और अगर ऐसी चीज़ पर लिखे कि मुमताज़ होते हों मसलन काग़ज़ या तख़्ता वग़ैरा पर और तलाक़ की नियत से लिखे तो हो जायेगी और अगर लिख कर भेजा यानी उस तरह लिखा जिस तरह ख़ुतूत लिखे जाते हैं कि मामूली अल्क़ाब व आदाब के बाद अपना मतलब लिखते हैं जब भी होगई बल्कि अगर न भी भेजे जब भी इस सूरत में होजायेगी और यह तलाक़ लिखते वक़्त पड़ेगी और उसी वक़्त से इद्दत शुमार होगी। और अगर यूँ लिखा कि मेरा यह ख़त जब तुझे पहुँचे तुझे तलाक़ है तो औ़रत को जब तहरीर पहुँचेगी उस वक़्त तलाक़ होगी औ़रत चाहे पढ़े या न पढ़े और फ़र्ज़ कीजिए कि औ़रत को तहरीर पहुँची ही नहीं मसलन उस ने न भेजी या रास्ता में गुम हो गई तो तलाक़ न होगी। और अगर यह तहरीर औ़रत के बाप को मिली उस ने चाक करदी लड़की को न दी तो अगर लड़की के तमाम कामों में यह तसर्रुफ़ करता है और वह तहरीर शहर में उस को मिली जहाँ लड़की रहती है तो तलाक़ होगई वरना नहीं मगर जबकि तहरीर आने की लड़की को ख़बरदी और वह फटी हुई तहरीर भी उसे दी और वह पढ़ने में आती है तो वाक़ेअ़ होजायेगी (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी वग़ैरहा)

मसअ्ला :— किसी पर्चे पर तलाक़ लिखी और कहता है कि मैं ने मश्क़ के तौ़र पर लिखी है तो क़ज़ाअन उस का क़ौल मोअ़्तबर नहीं (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :— दो पर्चों पर यह लिखा कि जब मेरी यह तहरीर तुझे पहुँचे तुझे तलाक़ है और औ़रत को दोनों पर्चे पहुँचे तो क़ाज़ी दो तलाक़ों का हुक्म देगा (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :— दूसरे से तलाक़ लिखवाकर भेजी तो तलाक़ हो जायेगी लिखने वाले से कहा कि मेरी औ़रत को तलाक़ लिख दे तो यह इक़रारे तलाक़ है यानी तलाक़ हो जायेगी अगर्चे वह न लिखे

मसअ्ला :— औ़रत को बज़रीआ़ तहरीर तलाक़े सुन्नत देना चाहता है तो अगर तलाक़ देनी है यूँ लिखे कि जब मेरी यह तहरीर तुझे पहुँचे उस के बाद हैज़ से पाक होने पर तुझे तलाक़ है और तीन देनी हों तो यूँ लिखे मेरी तहरीर पहुँचने के बाद जब तू हैज़ से पाक हो तुझे तलाक़ फिर जब हैज़ से पाक हो तो तलाक़ फिर जब हैज़ से पाक हो तो तलाक़ या यूँ लिख दे मेरी तहरीर पहुँचने पर तुझे सुन्नत के मुवाफ़िक़ तीन तलाक़ें तो यह भी उसी तरतीब से वाक़ेअ़ होंगी यानी हर हैज़ से पाक होने पर एक एक तलाक़ पड़ेगी। अगर औ़रत को हैज़ न आता हो तो लिख दे जब चाँद हो

जाये तुझे तलाक़ फिर दूसरे महीने में तलाक़ फिर तीसरे महीने में तलाक़ या वही लफ़्ज़ लिखे कि सुन्नत के मुवाफ़िक़ तीन तलाक़ें (आलमगीरी)

मसअ्ला :– शौहर ने औरत को ख़त लिखा उस में ज़रूरत की जो बातें लिखनी थीं लिखीं आख़िर में यह लिख दिया कि जब मेरा यह ख़त तुझे पहुँचे तुझे तलाक़ फिर यह तलाक़ का जुमला मिटा कर ख़त भेजदिया तो औरत को ख़त पहुँचते ही तलाक़ होगई और अगर ख़त का तमाम मज़मून मिटा दिया और तलाक़ का जुमला बाक़ी रखा और भेजदिया तो तलाक़ न हुई और अगर पहले यह लिखा कि जब मेरा यह ख़त पहुँचे तुझे तलाक़ और उस के बाद और मतलब की बातें लिखीं तो हुक्म बिलअक्स है यानी अल्फ़ाज़े तलाक़ मिटा दे तो तलाक़ न हुई और बाक़ी रखे तो होगई(आलमगीरी)

मसअ्ला :– ख़त में तलाक़ लिखी और उस के बाद मुत्तसलन(मिलाकर)इनशाअल्लाह तआला लिखा तो तलाक़ न हुई और अगर फ़स्ल (जुदा कर के) के साथ लिखा तो हो गई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– तहरीर से तलाक़ के सुबूत में यह ज़रूर है कि शौहर इक़रार करे कि मैंने लिखवाई या औरत उस पर गवाह पेश करे महज उसके ख़त से मुशाबह होना या उस के दस्तख़त होना या उस की सी मुहर होना काफ़ी नहीं। हाँ अगर औरत को इत्मीनान और ग़ालिब गुमान है कि यह तहरीर उसी की है तो उस पर अमल करने की औरत को इजाजत है मगर जब शौहर इन्कार करे तो बग़ैर शहादत चारा नहीं। (ख़ानिया वग़ैरहा)

मसअ्ला :– किसी ने शौहर को तलाक़ नामा लिखने पर मजबूर किया उस ने लिख दिया मगर न दिल में इरादा है न ज़बान से तलाक़ का लफ़्ज़ कहा तो तलाक़ न होगी मजबूरी से मुराद शरई मजबूरी है। महज़ किसी के इसरार करने पर लिखदेना या बड़ा है उस की बात कैसे टाली जाये यह मजबूरी नहीं। (रद्दुल मुहतार)

सरीह का बयान

मसअ्ला :– तलाक़ दो क़िस्म है सरीह व किनाया सरीह वह जिस से तलाक़ मुराद होना ज़ाहिर हो अक्सर तलाक़ में उस का इस्तिअ्माल हो अगर्चे वह किसी ज़बान का लफ़्ज़ हो (जौहरा वग़ैरहा)

मसअ्ला :– लफ़्ज़े सरीह (ऐसा लफ़्ज़ जिस का मतलब ज़ाहिर हो) मसलन 1.मैंने तुझे तलाक़ दी 2. तुझे तलाक़ है 3. तु मुतल्लक़ा है 4. तू तालिक़ है 5 मैं तुझे तलाक़ देता हूँ 6. ऐ मुतल्लक़ा इस सब अल्फ़ाज़ के हुक्म यह हैं कि एक तलाक़ रजई वाक़ेअ् होगी अगर्चे कुछ नियत न की हो या बाइन की नियत की या एक से ज़्यादा की नियत हो या कहे मैं नहीं जानता था कि तलाक़ क्या चीज़ है मगर उस सूरत में कि वह तलाक़ को न जानता था दियानतन वाक़ेअ् न होगी (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– 7.तलाग़ 8.तलग़ 9.तलाक 10.तलाक़ 11.तलाख 12.तल्लाख 13.तलाख़ 14.तल्लाख़ 15.तलाक 16.तिलाक़ 17.बल्कि तोतले की ज़बान से तलात यह सब सरीह के अल्फ़ाज़ हैं उन सब से एक तलाक़ रजई होगी अगर्चे नियत न हो या नियत कुछ और हो 18.तलाक़ 19.ता लाम आलिफ़ क़ाफ़ कहा और नियत तलाक़ हो तो एक रजई होगी(दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– उर्दू में यह लफ़्ज़ कि मैंने तुझे छोड़ा सरीह है उस से एक रजई होगी कुछ नियत हो या न हो यूँही यह लफ़्ज़ कि 21.मैंने फ़ारिग़ ख़त्ती 22.या फ़ारे ख़त्ती 23.या फ़ा रखती दी सरीह है।

मसअ्ला :– लफ़्ज़े तलाक़ ग़लत तौर पर अदा करने में आलिम व जाहिल बराबर हैं बहर हाल तलाक़ हो जायेगी अगर्चे वह कहे मैंने धमकाने के लिए ग़लत तौर पर अदा किया तलाक़ मक़सूद न

थी वरना सहीह तौर पर बोलता हाँ अगर लोगों से पहले कह दिया था कि मैं धमकाने के लिए ग़लत लफ़्ज़ बोलूँगा तलाक़ मक़सूद न होगी तो अब उस का कहा मान लिया जायेगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– किसी ने पूछा तूने अपनी औरत को तलाक़ देदी उस ने कहा हाँ या क्यों नहीं तो तलाक़ होगई अगर्चे तलाक़ देने की नियत से न कहा हो (दुर्रे मुख़्तार)मगर जबकि ऐसी सख़्त आवाज़ और ऐसे लहजा से कहा जिस से इन्कार समझा जाता हो तो नहीं (ख़ानिया)

मसअ्ला :– किसी ने कहा तेरी औरत पर तलाक़ नहीं कहा क्यों नहीं या कहा क्यों तो तलाक़ हो गई और अगर कहा नहीं या हाँ तो नहीं (फ़तावा रज़विया)

मसअ्ला :– औरत को तलाक़ नहीं दी है मगर लोगों से कहता है मैं तलाक़ दे आया तो क़ज़ाअ्न हो जायेगी और दियानतन नहीं और अगर एक नहीं दी है मगर लोगों से कहता है तीन दी हैं तो दियानतन एक होगी क़ज़ाअ्न तीन अगर्चे कहे कि मैंने झूट कहा था (फ़तावा ख़ैरिया)

मसअ्ला :– औरत से कहा 24.ऐ मुतल्लक़ा, ऐ तलाक़ दी गई, 25.ऐ तलाक़िन, 26.ऐ तलाक़ शुदा, 27.ऐ तलाक़ याफ़्ता, 28.ऐ तलाक़ करदा, तलाक़ होगई अगर्चे कहे मेरा मुक़सूद गाली देना था तलाक़ देना न था और अगर यह कहे कि मेरा मक़सूद यह था कि वह पहले शौहर की मुतल्लक़ा है और हक़ीक़त में वह ऐसी ही है यानी शौहरे अव्वल की मुतल्लक़ा है तो दियानतन उस का क़ौल मान लिया जायेगा और अगर वह औरत पहले किसी की मन्कूहा थी ही नहीं या थी मगर उस ने तलाक़ न दी थी बल्कि मर गया हो तो यह तावील नहीं मानी जायेगी यूँही अगर कहा 29.तेरे शौहर ने तुझे तलाक़ दी तो भी वही हुक्म है (रद्दुल मुहतार आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत से कहा तुझे तलाक़ देता हूँ, या कहा 30.तू मुतल्लक़ा हो जा, तो तलाक़ हो गई (रद्दुल मुहतार)मगर यह लफ़्ज़ कि तलाक़ देता हूँ या छोड़ता हूँ, उस के यह मअ्ना लिए कि तलाक़ देना चाहता हूँ या छोड़ना चाहता हूँ तो दियानतन न होगी क़ज़ाअ्न हो जायेगी और अगर यह लफ़्ज़ कहा कि छोड़े देता हूँ तो तलाक़ न हुई कि यह लफ़्ज़ क़स्द व इरादा के लिए है।

मसअ्ला :– 31.तुझ पर तलाक़, 32.तुझे तलाक़, 33.तलाक़ हो जा, 34.तू तलाक़ है, 35.तलाक़ हो गई, 36. तलाक़ ले, बाहर जाती थी कहा 37.तलाक़ ले जा, 38.अपनी तलाक़ ओढ़ और रवाना हो, 39.मैंने तेरी तलाक़ तेरे आँचल में बाँध दी, 40.जा तुझ पर तलाक़, इन सब में एक तलाक़ रजई होगी और अगर फ़क़त 'जा' तलाक़ की नियत से कहता तो बाइन होती (ख़ानिया, आलमगीरी वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– 41.तुझे मुसलमानों के चारों मज़हब, या 42.मुसलमानों के तमाम मज़हब पर तलाक़, या 43.तुझे यहूद व नसारा के मज़हब पर तलाक़, उस से एक तलाक़े रजई होगी यूँही अगर कहा 44.जा तुझे तलाक़ है, सुअरों या यहूदियों को हलाल और मुझ पर हराम हो, तो रजई होगी यानी जबकि उस लफ़्ज़ से (कि मुझ पर हराम हो) तलाक़ की नियत न की हो वरना दो बाइन वाक़ेअ् होंगी (ख़ैरिया)

मसअ्ला :– 45.तू मुतल्लक़ा और बाइना, या 46.मुतल्लक़ा फ़िर बाइना, है, उस से एक रजई होगी और अगर बाइना से जुदा तलाक़ की नियत तो दो बाइन, और तीन की तो तीन(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– औरत के बच्चा को देख कर कहा 47.ऐ मुतल्लक़ा के बच्चे या, 48.ऐ मुतल्लक़ा के जने, तो तलाक़े रजई हुई (आलमगीरी) हाँ अगर यह नियत हो कि वह पहले शौहर की मुतल्लक़ा है तो दियानतन मान लिया जायेगा जबकि पहले शौहर ने तलाक़ दी हो।

मसअ्ला :– औरत की निस्बत कहा 49.उसे उस की तलाक़ की ख़बर दे, या 50.तलाक़ की खुशख़बरी सुना दे, 51.या उस की तलाक़ की ख़बर उस के पास ले जा, या 52.उसे लिख भेज या 53.उस से कह कि वह मुतल्लक़ा है, 54.या उस के लिए उस की तलाक़ की सनद, या याददाश्त लिख दे, तो तलाक़ अभी पड़ गई अगर्चे न उस ने उस से कहा न लिखा और अगर यूँ कहा कि 55.उस से कह कि तू मुतल्लक़ा है या 56.उसे तलाक़ दे आ तो जब जाकर कहेगा तलाक़ होगी वरना नहीं (ख़ानिया)

मसअ्ला :– 57.तू फ़ुलानी से ज़्यादा मुतल्लक़ा है तलाक़ पड़ गई अगर्चे वह फ़ुलानी मुतल्लक़ा न भी हो (फ़तावा रज़विया)

मसअ्ला :– 58.ऐ मुतलक़ा(बसुकून ता)59.मैंने तेरी तलाक़ छोड़दी, 60.मैंने तेरी तलाक़ रवाना कर दी, 61.मैंने तेरी तलाक़ का रास्ता छोड़ दिया, 62.मैंने तेरी तलाक़ तुझे हिबा कर दी, 63.क़र्ज़ दी, 64.तेरे पास गिरवी की, 65अमानत रखी, 66.मैंने तेरी तलाक़ चाहीं, 67.तेरे लिए तलाक़ है, 68.अल्लाह ने तेरी तलाक़ चाही, 69.अल्लाह ने तेरी तलाक़ मुक़द्दर कर दी, इन सब अल्फ़ाज़ से अगर नियत तलाक़ हो रजई वाक़ेअ् होगी (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार बहर)

मसअ्ला :– 70.मैंने तेरी तलाक़ तेरे हाथ बेची औरत ने कहा मैंने ख़रीदी और किसी माल के बदले में होना ज़िक्र न हुआ तो रजई होगी और माल के बदले में होना मज़कूर हो तो बाइन और अगर यूँ कहा 71.मैंने उस एवज़ पर तलाक़ दी कि तू अपना मुतालबा इतने दिनों के लिए हटा दे जब भी रजई होगी (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– औरत को कहा मैंने तुझे छोड़ा, और कहता है मेरा मक़सूद यह था कि बँधी हुई थी उस की बन्दिश खोलदी या क़ैद थी अब छोड़ दी तो यह तावील सुनी न जायेगी हाँ अगर तसरीह कर दी कि तुझे क़ैद या बन्दिश से छोड़ा तो क़ौल मान लिया जायेगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– 72.अपनी औरत से कहा तू मुझ पर हराम है, तो एक बाइन तलाक़ होगी अगर्चे नियत न की हो अगर वह उस की औरत न हो तो (क़सम)यमीन है हानिस(क़सम तोड़ने)होने पर कफ़्फ़ारा वाजिब यूँही अगर यह कहा 73.मैं तुझ पर हराम हूँ और तलाक़ की नियत की तो वाक़ेअ् होगी और अगर सिर्फ़ यह कहा कि मैं हराम हूँ तो वाक़ेअ् न होगी(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– 74.औरत से कहा तेरी तलाक़ मुझपर वाजिब है तो बाज़ के नज़्दीक तलाक़ हो जायेगी और इसी पर फ़तवा है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर कहा तुझे खुदा तलाक़ दे तो वाक़ेअ् न होगी और यूँ कहा कि तुझे 75.खुदा ने तलाक़ दी तो होगई (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर कहा तुझे ताक़ तो वाक़ेअ् न होगी अगर्चे तलाक़ की नियत हो (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– तलाक़ में इज़ाफ़त ज़रूर होनी चाहिए बग़ैर इज़ाफ़त तलाक़ वाक़ेअ् न होगी ख़्वाह हाज़िर के सेग़ा से बयान करे मसलन तुझे तलाक़ है या इशारा के साथ मसलन इसे या उसे या नाम ले कर कहे कि फ़ुलानी को तलाक़ है या उस के जिस्म व बदन या रूह की तरफ़ निस्बत करे या उस के किसी ऐसे अज़ू(जिस्म का हिस्सा) की तरफ़ निस्बत करे जो कुल के क़ाइम मक़ाम तसव्वुर किया जाता हो मसलन गर्दन या सर या शर्मगाह या जुज़ व शाइअ् की तरफ़ निस्बत करे मसलन निस्फ़, तिहाई, चोथाई वग़ैरा यहाँ तक कि अगर कहा तेरे हज़ार हिस्सों में से एक हिस्सा को तलाक़ है तो तलाक़ हो जायेगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर सर या गर्दन पर हाथ रख कर कहा तेरे इस सर या इस गर्दन को तलाक तो वाकेअ् न होगी और अगर हाथ न रखा और यूँ कहा इस सर को तलाक और औरत के सर की तरफ इशारा किया तो वाकेअ् हो जायेगी (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– हाथ या उंगली या नाख़ुन या पाँवों या बाल या नाक या पिन्डली या रान या पीठ या पेट या ज़बान या कान या मुँह या ठोड़ी या दाँत या सीना या पिस्तान को कहा कि उसे तलाक तो वाकेअ् न होगी (जौहरा दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जुज़वे तलाक भी पूरी तलाक है अगर्चे एक तलाक का हज़ारवाँ हिस्सा हो मसलन कहा तुझे आधी या चौथाई तलाक है तो पूरी एक तलाक पड़ेगी कि तलाक के हिस्से नहीं हो सकते अगर चन्द अजज़ा ज़िक्र किए जिन का मजमुआ एक से ज़्यादा न हो तो एक होगी और एक से ज़्यादा हो तो दूसरी भी पड़जायेगी मसलन कहा एक तलाक का निस्फ़ और उस की तिहाई और चौथाई कि निस्फ़ और तिहाई और चौथाई का मजमुआ एक से ज़्यादा है लिहाज़ा दो वाकेअ् हुईं और अगर अजज़ा का मजमुआ दो से ज़्यादा है तो तीन होंगी यूहीं डेढ़ में दो और ढाई में तीन और अगर दो तलाक के तीन निस्फ़(आधे) कहे तो तीन होंगी। और एक तलाक के तीन निस्फ़ में दो और अगर कहा एक से दो तक तो एक और एक से तीन तक तो दो (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– अगर कहा 76.तुझे तलाक है, यहाँ से मुल्के शाम तक, तो एक रजई होगी हाँ अगर 77.यूँ कहा कि इतनी बड़ी या इतनी लम्बी कि यहाँ से मुल्क शाम तक तो बाइन होगी(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर 78.कहा तुझे मक्का में तलाक है, या 79.घर में, या 80.साया में, या 81.धूप में, तो फ़ौरन पड़जायेगी यह नहीं कि मक्का को जाये जब पड़े हाँ अगर यह कहे मेरा मतलब यह था कि जब मक्का को जाये तलाक है तो दियानतन यह क़ौल मोअ्तबर है कज़ाअ्न नहीं अगर कहा तुझे क़ियामत के दिन तलाक है तो कुछ नहीं बल्कि यह कलाम लग़्व (बेकार)है और अगर कहा क़ियामत से पहले तो अभी पड़ जायेगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर कहा 83.तुझे कल तलाक है तो दूसरे दिन सुबह चमते ही तलाक हो जायेगी यूँही अगर कहा 84.शअ्बान में तलाक है तो जिस दिन रजब का महीना ख़त्म होगा उस दिन आफ़ताब डूबते ही तलाक होगी।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर कहा तुझे मेरी पैदाइश से या तेरी पैदाइश से पहले तलाक या कहा मैं ने अपने बचपन में या जब सोता था या जब मजनूं था तुझे तलाक देदी थी और उस का मजनून होना मालूम हो तो तलाक न होगी बल्कि यह कलाम (लग़्व) है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– 85.कहा कि तुझे मेरे मरने से दो महीने पहले तलाक है और दो महीने गुज़रने न पाये कि मरगया तो तलाक वाकेअ् न हुई और उस के बाद मरा तो हो गई और उसी वक़्त से मुतल्लका क़रार पायेगी जब उस ने कहा था (तनवीरुलअबसार)

मसअ्ला :– अगर कहा मेरे निकाह से पहले तुझे तलाक या कहा कल गुज़िश्ता में हालाँकि उस से निकाह आज किया है तो दोनों सूरतों में कलाम लग़्व है और अगर दूसरी सूरतों में कल या कल से पहले निकाह कर चुका है तो उस वक़्त तलाक होगई (फ़त्ह वग़ैरा)यूँही अगर कहा 86.तुझे दो महीने से तलाक है और वाकेअ् में नहीं दी थी तो उस वक़्त पड़ेगी बशर्ते कि निकाह को दो महीने से कम न हुए हों वरना कुछ नहीं और अगर झूटी ख़बर की नियत से कहा तो इन्दल्लाह न होगी मगर कज़ाअ्न होगी।

मसअला :– अगर कहा 87.ज़ैद के आने से एक माह पहले तुझे तलाक़ है और ज़ैद एक महीने के बाद आया तो उस वक़्त तलाक़ होगी उस से पहले नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– यह कहा कि 88.जब कभी तुझे तलाक़ न दूँ तो तलाक़ है, या 89.जब तुझे तलाक़ न दूँ तो तलाक़ है, तो चुप होते ही तलाक़ पड़ जायेगी और यह कहा कि अगर 90.तुझे तलाक़ न दूँ तो तलाक़ है तो मरने से कुछ पहले तलाक़ होगी। (अम्मए कुतुब)

मसअला :– यह कहा कि 91.अगर आज तुझे तीन तलाक़ें न दूँ तो तुझे तीन तलाक़ें तो देगा जब भी होंगी और न देगा जब भी और बचने की यह सूरत है कि औरत को हज़ार रुपये के बदले में तलाक़ दे दे और औरत को चाहिए कि क़बूल न करे अब अगर दिन गुज़र गया तो तलाक़ वाक़ेअ् न होगी(खानिया)

मसअला :– 92.किसी औरत से कहा तुझे तलाक़ है जिस दिन तुझ से निकाह करूँ और रात में निकाह किया तो तलाक़ होगई (तन्वीर)

मसअला :– 93.किसी औरत से कहा अगर तुझ से निकाह करूँ या 94.जब या 95.जिस वक़्त तुझ से निकाह करूँ तो तुझे तलाक़ है तो निकाह होते ही तलाक़ हो जायेगी यूँही अगर ख़ास औरत को मुअय्यन न किया बल्कि कहा अगर या जब या जिस वक़्त मैं निकाह करूँ तो उसे तलाक़ है तो निकाह करते ही तलाक़ हो जायेगी मगर उसके बाद दूसरी औरत से निकाह करेगा तो उसे तलाक़ न होगी। हाँ अगर 96.कहा जब कभी मैं किसी औरत से निकाह करूँ उसे तलाक़ है तो जब कभी निकाह करेगा तलाक़ हो जायेगी इन सूरतों में अगर चाहे कि निकाह हो जाये और तलाक़ न पड़े तो उसकी सूरत यह है कि फ़ुज़ूली(यानी जिसे उस ने निकाह का वकील न किया हो)बग़ैर उस के हुक्म के उस औरत या किसी औरत से निकाह कर दे और जब उसे ख़बर पहुँचे तो ज़बान से निकाह को नाफ़िज़ न करे बल्कि कोई ऐसा फ़ेअ्ल करे जिस से इजाज़त हो जाये मसलन महर का कुछ हिस्सा या कुल उस के पास भेजदे या उस के साथ जिमाअ् करे या शहवत के साथ हाथ लगाये या बोसा ले या लोग मुबारकबाद दें तो ख़ामोश रहे इन्कार न करे तो इस सूरत में निकाह हो जायेगा और तलाक़ न पड़ेगी और अगर कोई ख़ुद नहीं कर देता उसे कहने की ज़रूरत पड़े तो किसी को हुक्म न दे बल्कि तज़किरा करे कि काश कोई मेरा निकाह कर दे या काश तू मेरा निकाह कर दे या क्या अच्छा होता कि मेरा निकाह हो जाता अब अगर कोई करदेगा तो निकाह फ़ुज़ूली होगा और उस के बाद वही तरीक़ा बरते जो ऊपर मज़कूर हुआ (बहर, रद्दुल, मुहतार, ख़ैरिया)

मसअला :– उस की औरत किसी की बाँदी है उस ने उस से कहा 97.कल का दिन आये तो तुझ को दो तलाक़ें और मौला ने कहा कल का दिन आये तो तू आज़ाद है तो दो तलाक़ें हो जायेंगी और शौहर रजअत नहीं कर सकता मगर उस की इद्दत तीन हैज़ है और शौहर मरीज़ था तो यह वारिस न होगी (तनवीर)

मसअला :– 98.उंगलियों से इशारा कर के कहा तुझे इतनी तलाक़ें तो एक दो तीन जितनी उंगलियों से इशारा किया उतनी तलाक़ें हुईं यानी जितनी उंगलियाँ इशारा के वक़्त खुली हों उनका एअ्तिबार है बन्द का एअ्तिबार नहीं और अगर वह कहता है मेरी मुराद बन्द उंगलियाँ या हथेली थीं तो यह क़ौल दियानतन मोअ्तबर नहीं 99.और अगर तीन उंगलियों से इशारा कर के कहा तुझे उसकी मिस्ल तलाक़ और नियत तीन की हो तो तीन वरना एक बाइन 100.और अगर इशारा कर के कहा तुझे इतनी और नियत तलाक़ की है और लफ़्ज़ तलाक़ न बोला जब भी तलाक़ हो जायेगी(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– तलाक़ के साथ कोई सिफ़त ज़िक्र की जिस से शिद्दत समझी जाये तो बाइन होगी मसलन 101बाइन या 102.अलबत्ता, 103फ़ुहश तलाक़, 104.तलाक़े शैतान, 105.तलाक़ बिदअत, 106.बदतर तलाक़, 107.पहाड़ बराबर, 108.हज़ार की मिस्ल, 109.ऐसी कि घर भर जाये, 110.सख़्त 111.लम्बी 112.चौड़ी, 113.खुर खुरी, 114.सब से बुरी, 115.सब से कर्री, 116.सब से गन्दी, 117.सब से नापाक, 118.सब से कड़वी, 119.सब से बड़ी, 120.सब से चौड़ी, 121.सब से लम्बी 122.सब से मोटी, फिर अगर तीन की नियत की तो तीन होंगी वरना एक और अगर बाँदी है तो दो की नियत सहीह है (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– 123.अगर कहा तुझे ऐसी तलाक़ जिस से तू अपने नफ़्स की मालिक हो जाये, या 124.कहा तुझे ऐसी तलाक़ जिस में मेरे लिए रजअत नहीं तो बाइन होगी और अगर 125.कहा तुझे तलाक़ है, और मेरे लिए रजअत नहीं तो रजई होगी, 126.यूँही अगर कहा तुझे तलाक़ है कोई क़ाज़ी या हाकिम या आलिम तुझे वापस न करे, जब भी रजई होगी (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)और 127.अगर कहा तुझे तलाक़ है इस शर्त पर कि उस के बाद रजअत नहीं या 128.यूँ कहा तुझ पर वह तलाक़ है जिस के बाद रजअत नहीं या 129.कहा तुझ पर वह तलाक़ है जिस के बाद रजअत न होगी तो इन सब सूरतों में रजई हो जाना चाहिए (फ़तावा रज़विया)अगर 130.कहा तुझ पर वह तलाक़ है जिस के बाद रजअत नहीं होती तो बाइन होना चाहिए।

मसअला :– 131.औरत से कहा अगर मैं तुझे एक तलाक़ दूँ तो वह बाइन होगी या कहा वह तीन होगी फिर उसे तलाक़ दी तो न बाइन होगी न तीन बल्कि एक रजई होगी या 132.कहा था कि अगर तू घर में जायेगी तो तुझे तलाक़ है फिर मकान में जाने से पहले कहा कि उसे मैंने बाइन या तीन कर दिया जब भी एक रजई होगी और यह कहना बेकार है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– 133.कहा तुझे हज़ारों तलाक़ या 134.चन्द बार तलाक़ तो तीन वाक़ेअ् होंगी 135.और अगर कहा तुझे तलाक़ न कम न ज़्यादा तो ज़ाहिरुर्रिवाया में तीन होंगी और इमाम अबू जअ्फ़र हिन्दवानी व इमाम क़ाज़ी ख़ाँ उस को तरजीह देते हैं कि दो वाक़ेअ् हों और अगर 136.कहा कमतर तलाक़ तो एक रजई होगी (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अगर कहा 137.तुझे तलाक़ है पूरी तलाक़ तो एक होगी और कहा कि 138.कुल तलाक़ें तो तीन (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर तलाक़ के अ़दद में वह चीज़ ज़िक्र की 139.जिस में तअ़द्दुद न हो जैसे कहा ख़ाक के अ़दद के बराबर या 140.मालूम न हो कि उस में तअ़द्दुद है या नहीं मसलन कहा इबलीस के बाल की गिनती बराबर तो दोनों सूरतों में एक वाक़ेअ् होगी और इन दोनों मिसालों में वह बाइन होगी 141.और अगर मालूम है कि उस में तअ़द्दुद है तो उस की तअ़्दाद के मुवाफ़िक़ होगी मगर तअ़्दाद तीन से ज़्यादा हो तो तीन ही होंगी बाक़ी बेकार मसलन कहा इतनी जितने मेरी पिन्डली या कलाई में बाल, हैं या उतनी जितनी इस तालाब में मछलियाँ हैं और अगर तालाब में कोई मछली न हो जब भी एक वाक़ेअ् होगी और पिन्डली या कलाई के बाल उड़ा दिये हों उस वक़्त कोई बाल न हो तो तलाक़ न होगी और अगर यह कहा कि जितने मेरी हथेली में बाल हैं और बाल न हों तो एक होगी। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– इस में शक है कि तलाक़ दी है या नहीं तो कुछ नहीं और अगर उस में शक है कि एक दी है या ज़्यादा तो क़ज़ाअन एक है दियानतन ज़्यादा और अगर किसी तरफ़ ग़ालिब गुमान है

तो उसी का एअ्तिबार है और अगर उस के ख़याल में ज़्यादा है मगर उस मजलिस में जो लोग थे वह कहते हैं कि एक दी थी अगर यह लोग आदिल हों और इस बात में उन्हें सच्चा जानता हो तो एअ्तिबार कर ले (रद्दुल मुहतार)जिस औरत से निकाहे फ़ासिद किया फ़िर उस को तीन तलाक़ें दीं तो बग़ैर हलाला निकाह कर सकता है कि यह हक़ीक़तन तलाक़ नहीं बल्कि मुतारका है(दुर्रे मुख़्तार)

ग़ैर मदख़ूला की तलाक़ का बयान

मसअ्ला :– ग़ैर मदख़ूला(जिस औरत से उस ने सम्भोग न किया हो)को कहा तुझे तीन तलाक़ें तो तीन होंगी और अगर कहा तुझे तलाक़, तुझे तलाक़, तुझे तलाक़, या कहा तुझे तलाक़ तलाक़ तलाक़ या कहा तुझे तलाक़ है एक और, एक और, एक और, तो इन सब सूरतों में एक बाइन वाक़ेअ् होगी बाक़ी लग्व व बेकार हैं यानी चन्द लफ़्ज़ों से वाक़ेअ् करने में सिर्फ़ पहले लफ़्ज़ से वाक़ेअ् होगी और बाक़ी के लिए महल न रहेगी और मोतूह में बहर हाल तीन वाक़ेअ् होंगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– कहा तुझे तीन तलाक़ें अलग–अलग तो एक होगी यूँहीं अगर कहा तुझे दो तलाक़ें उस तलाक़ के साथ जो मैं तुझे दूँ फ़िर एक तलाक़ दी तो एक ही होगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर कहा डेढ़ तलाक़ तो दो होंगी और अगर कहा आधी और एक तो एक, यूँहीं ढाई कहा तो तीन और दो और आधी कहा तो दो (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जब तलाक़ के साथ कोई अदद या वस्फ़ मज़कूर (ज़िक्र) हो तो उस अदद या वस्फ़ के ज़िक्र करने के बाद वाक़ेअ् होगी सिर्फ़ तलाक़ से वाक़ेअ् न होगी मसलन लफ़्ज़ तलाक़ कहा और अदद या वस्फ़ के बोलने से पहले औरत मरगई तो तलाक़ न हुई और अगर अदद या वस्फ़ बोलने से पहले शौहर मर गया या किसी ने उस का मुँह बन्द कर दिया तो एक वाक़ेअ् होगी कि जब शौहर मर गया तो ज़िक्र न पाया गया सिर्फ़ इरादा पाया गया और सिर्फ़ इरादा नाकाफ़ी है और मुँह बन्द कर देने की सूरत में अगर हाथ हटाते ही उस ने फ़ौरन अदद या वस्फ़ को ज़िक्र कर दिया तो उसके मुवाफ़िक़ होगी वरना वही एक(आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– ग़ैर मदख़ूला से कहा तुझे एक तलाक़ है एक के बाद या, उसके पहले एक, या उस के साथ एक, तो दो होंगी (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– तुझे एक तलाक़ है, और एक अगर घर में गई तो, घर में जाने पर दो होंगी और अगर यूँ कहा कि अगर तू घर में गई तो तुझे एक तलाक़ है और एक, तो एक होगी और मोतूह में बहर हाल दो होंगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– किसी की दो या तीन औरतें हैं उस ने कहा मेरी औरत को तलाक़, तो उन में से एक पर पड़ेगी और यह उसे इख़्तियार है कि उन में से जिसे चाहे तलाक़ के लिए मुअय्यन कर ले और एक को मुख़ातब कर के कहा तुझ को तलाक़ है या तू मुझपर हराम है तो सिर्फ़ उसी को होगी जिस से कहा (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– चार औरतें हैं और यह कहा कि तुम सब के दरमियान एक तलाक़ तो चारों पर एक एक होगी यूँहीं दो या तीन या चार तलाक़ें कहीं जब भी एक एक होगी मगर इन सूरतों में अगर यह नियत है कि हर एक तलाक़ चारों पर तक़सीम हो तो दो में हर एक पर दो होंगी और तीन या चार में हर एक पर तीन और पाँच छः सात आठ में हर एक पर दो और तक़सीम की नियत है तो हर एक पर तीन, नौ, दस वग़ैरा में बहर हाल हर एक पर तीन वाक़ेअ् होंगी यूँही अगर कहा मैंने तुम

सब को एक तलाक़ में शरीक कर दिया तो हर एक पर एक व अला हाजल कियास(ख़ानिया फ़स्ल बहर वग़ैरहा)

मसअला :– दो औरतें हैं और दोनों ग़ैर मौतूह (जिस से वती न की हो) उस ने कहा मेरी औरत को तलाक़ मेरी औरत को तलाक़ तो दोनों मुतल्लका होगईं अगर्चे वह कहे कि एक ही औरत को मैंने दोनों बार कहा था और अगर दोनों मदख़ूला हों और कहता है कि दोनों बार एक ही की निस्बत कहा था तो उसका क़ौल मान लिया जायेगा यूँही अगर एक मदख़ूला हो दूसरी ग़ैर मदख़ूला और मदख़ूला की निस्बत दोनों मरतबा कहा तो उसी को दो तलाक़ें होंगी और ग़ैर मदख़ूला की निस्बत बयान करे तो हर एक को एक एक (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– कहा मेरी औरत को तलाक़ है और उस का नाम न लिया और उस की एक ही औरत है जिस को लोग जानते हैं तो उसी पर तलाक़ पड़ेगी अगर्चे कहता हो कि मेरी एक औरत दूसरी भी है मैंने उसे मुराद लिया हाँ अगर गवाहों से दूसरी औरत होना साबित कर दे तो उसका क़ौल मान लें कि और दो औरतें हों और दोनों को लोग जानते हों तो उसे इख़्तियार है जिसे चाहे मुराद ले या मुअय्यन करे यूहीं अगर दोनों ग़ैर मअरूफ़ हों तो इख़्तियार है (ख़ानिया, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मदख़ूला(जिस से हम बिस्तरी की गई हो) को कहा तुझे तलाक़ है तुझे तलाक़ है या मैंने तुझे तलाक़ दी, मैंने तुझे तलाक़ दी तो दो तलाक़ का हुक्म दिया जायेगा अगर्चे कहता हो कि दूसरे लफ़्ज़ से ताकीद की नियत थी तलाक़ देना मक़सूद न था हाँ दियानतन उस का क़ौल मान लिया जायेगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अपनी औरत को कहा उस कुतिया को तलाक़ या अँख़ियारी है उस को कहा उस अन्धी को तलाक़ तो तलाक़ वाक़ेअ़ हो जायेगी और अगर किसी दूसरी औरत को देखा कि मेरी औरत है और अपनी का नाम लेकर कहा ऐ फुलानी तुझे तलाक़ है, बाद को मालूम हुआ कि यह उस की औरत न थी तो तलाक़ हो गई मगर जबकि उसकी तरफ़ इशारा कर के कहा तो न होगी(ख़ानिया वग़ैरहा)

मसअला :– अगर कहा दुनिया की तमाम औरतों को तलाक़ तो उस की औरत को तलाक़ न हुई और अगर कहा कि इस महल्ला या इस घर की औरतों को तो होगई (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत ने ख़ाविन्द से कहा मुझे तीन तलाक़ें दे दे उस ने कहा दीं तो तीन वाक़ेअ़ हुईं और अगर जवाब में कहा तुझे तलाक़ है तो एक वाक़ेअ़ होगी अगर्चे तीन की नियत करे (ख़ानिया वग़ैरहा)

मसअला :– औरत ने कहा मुझे तलाक़ देदे मुझे तलाक़ देदे मुझे तलाक़ देदे उस ने कहा देदी तो एक हुई और तीन की नियत की तो तीन (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत ने कहा मैंने अपने को तलाक़ देदी शौहर ने जाइज़ कर दी तो होगई (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– किसी ने कहा तू अपनी औरत को तलाक़ देदे उस ने कहा हाँ हाँ तलाक़ वाक़ेअ़ न हुई अगर्चे तलाक़ की नियत से कहा कि यह एक वअ़्दा है (फ़तावा रज़विया)

मसअला :– किसी ने कहा जिस की औरत उस पर हराम है वह यह काम करे उन में से एक ने वह काम किया तो औरत हराम होने का इक़रार है यूँही अगर कहा जिस की औरत मुतल्लका हो वह ताली बजाये और सब ने बजाई तो सब की औरतें मुतल्लका हो जायेंगी किसी ने कहा अब जो बात करे उस की औरत को तलाक़ है फिर ख़ुद उसी ने कोई बात कही तो उस की औरत को तलाक़ होगई और औरों ने बात की तो कुछ नहीं यूँही अगर अपस में एक दूसरे को चपत मारता था और किसी ने कहा जो अब चपत मारे उस की औरत को तलाक़ है और ख़ुद उसी ने चपत मारी तो उस की औरत को तलाक़ होगई (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

किनाया का बयान

किनायाए तलाक़ वह अल्फ़ाज़ हैं जिन से तलाक़ मुराद होना ज़ाहिर न हो तलाक़ के अलावा और मअ्नो में भी उन का इस्तिअ्माल होता हो।

मसअ्ला :– किनाया से तलाक़ वाक़ेअ् होने में यह शर्त है कि नियत तलाक़ हो या हालत बताती हो कि तलाक़ मुराद है यानी पेशतर तलाक़ का ज़िक्र था या गुस्सा में कहा। **किनाया के अल्फ़ाज़ तीन तरह के हैं** बाज़ में सवाल रद करने का एहतिमाल है बाज़ में गाली का एहतिमाल है और बाज़ में न यह है न वह बल्कि जवाब के लिए मुतअ्य्यन हैं अगर रद का एहतिमाल है तो मुतलक़न हर हाल में नियत की हाजत है बग़ैर नियत तलाक़ नहीं और जिन में गाली का एहतिमाल है उन से तलाक़ होना खुशी और ग़ज़ब में नियत पर मौक़ूफ़ है और तलाक़ का ज़िक्र था तो नियत की ज़रूरत नहीं और तीसरी सूरत यानी जो फ़क़त जवाब हो तो खुशी में नियत ज़रूरी है और ग़ज़ब व मुज़ाकरा के वक़्त बग़ैर नियत भी तलाक़ वाक़ेअ् है (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

किनाया के बाज़ अल्फ़ाज़ यह हैं

1.जा, 2.निकल, 3.चल, 4.रवाना हो, 5.उठ, 6.खड़ी हो, 7.पर्दा कर, 8.दोपट्टा ओढ़, 9.निक़ाब डाल, 10.हट सरक, 11.जगह छोड़, 12.घर ख़ाली कर, 13.दूर हो, 14.चल दूर, 15.ऐ ख़ाली, 16.ऐ बरी, 17.ए जुदा 18.तू जुदा है, 19.तू मुझ से जुदा है, 20.मैंने तुझे बे क़ैद किया, 21.मैंने तुझ से मफ़ारिक़त की, 22.रस्ता नाप, 23.अपनी राह ले, 24.काला मुँह कर, 25.चाल दिखा, 26.चलती बन, 27.चलती नज़र आ, 28.दफ़अ् हो 29.दाल, फ़े, अैन, हो, 30.रफू चक्कर हो, 31.पिन्जरा ख़ाली कर, 32.हट के सड़, 33.अपनी सूरत गुमा, 34.बिस्तर उठा, 35.अपना सूझता देख, 36.अपनी गठरी बाँध, 37.अपनी नजासत अलग फैला, 38.तशरीफ़ ले जाईये, 39.तशरीफ़ का टोकरा ले जाईये, 40.जहाँ सींग समाए जा, 41.अपना माँग खा, 42.बहुत होचुकी अब मेहरबानी फ़रमाईये, 43.ऐ बे अलाक़ा, 44.मुँह छुपा, 45.जहन्नम में जा, 46.चुल्हे में जा, 47.भाड़ में पड़, 48.मेरे पास से चल, 49.अपनी मुराद पर फ़तह मन्द हो, 50.मैंने निकाह फ़स्ख़ किया, तू मुझ पर मिस्ले मुरदार, या 52.सुअर या 53.शराब के है, (न मिस्ल बंग या अफ़यून या माले फ़ुलाँ या ज़ौजा–ए–फ़ुलाँ के)54.तू मिस्ल मेरी माँ या बहन या बेटी के है, 55.(और यूँ कहा कि तू माँ बहन बेटी है तो गुनाह के सिवा कुछ नहीं)56.तू ख़ल्लास है, 57.तेरी गुलू ख़लासी हुई, 58.तू ख़ालिस हुई, 59.हलाल खुदा या 60.हलाल मुसलमानान या 61हर हाल मुझ पर हराम, 62.तू मेरे साथ हराम में है, 62.मैंने तुझे तेरे हाथ बेचा अगर्चे किसी एवज़ का ज़िक्र न आये, अगर्चे औरत ने यह न कहा कि मैंने ख़रीदा, 63.मैं तुझ से बाज़आया, 64.मैं तुझ से दर गुज़रा, 65.तू मेरे काम की नहीं 66मेरे मतलब की नहीं, 67.मेरे मसरफ़ की नहीं, 68.मुझे तुझ पर कोई राह नहीं, 69.कुछ क़ाबू नहीं, 70.मिल्क नहीं 71.मैंने तेरी राह खाली कर दी, 72.तू मेरी मिल्क से निकल गई, 73.मैंने तुझ से खुलअ् किया, 74.अपने मैके बैठ, 75.तेरी बाग ढीली की, 76.तेरी रस्सी छोड़ दी, 77.तेरी लगाम उतारली, 78.अपने रफ़ीक़ों से जा मिल, 79.मुझे तुझ पर कुछ इख़्तियार नहीं, 80.मैं तुझ से ला दअ्वा होता हूँ, 81.मेरा तुझ पर कुछ दअ्वा नहीं। 82.ख़ाविन्द तलाश कर, 83.मैं तुझ से जुदा हूँ या हुआ (फ़क़त मैं जुदा हूँ या हुआ काफ़ी नहीं अगर्चे ब नियते तलाक़ कहा)84.मैंने तुझे जुदा कर दिया, 85.मैंने तुझ से जुदाई की, 86.तू खूद मुख़्तार है 87.तू आज़ाद है, 88.मुझ में तुझ में निकाह नहीं, 89.मुझ में तुझ में निकाह बाक़ी न रहा, 90.मैंने तुझे तेरे

घर वालों या 91.बाप या 92.माँ या 93.ख़ाविन्दों को दिया या 94.ख़ुद तुझ को दिया, (और तेरे भाई या मामूँ या चचा किसी अजनबी को देना कहा तो कुछ नहीं) 95.मुझ में तुझ में कुछ मुआमला न रहा या नहीं,96.मैं तेरे निकाह से बेज़ार हूँ, 97.बरी हूँ, 98.मुझ से दूर हो, 99.मुझे सूरत न दिखा, 100.किनारे हो, 101.तूने मुझ से नजात पाई, 102.अलग हो, 103.मैंने तेरा पाँव खोलदिया, 104.मैंने तुझे आज़ाद किया, 105.आज़ाद हो जा, 106.तेरी बन्द कटी 107.तू बे कै़द है, 108.मैं तुझ से बरी हूँ, 109.अपना निकाह कर, 110.जिस से चाहे निकाह कर ले, 111.मैं तुझ से बेज़ार हुआ, 112.मेरे लिए तुझ पर निकाह नहीं, 113.मैंने तेरा निकाह फ़स्ख़ किया, 114.चारों राहें तुझ पर खोल दीं, (और अगर यूँ कहा कि चारों राहें तुझ पर खुली हैं तो कुछ नहीं जब तक यह न कहे कि 115.जो रास्ता चाहे इख़्तियार कर)116.मैं तुझ से दस्त बरदार हुआ, 117.मैंने तुझे तेरे घरवालों या बाप या माँ को वापस दिया, 118.तू मेरी इस्मत से निकल गई, 119.मैंने तेरी मिल्क से शरई तौर पर अपना नाम उतार दिया, 120.तू कयामत तक या उम्र भर मेरे लाइक़ नहीं, 121.तू मुझ से ऐसी दूर है जैसे मक्का मुअ़ज़्ज़मा मदीना तय्यबा से या दिल्ली लखनऊ से (फ़तावा रज़विया)

मसअ्ला :– इन अल्फ़ाज़ से त़लाक़ न होगी अगर्चे नियत करे मुझे तेरी हाजत नहीं, मुझे तुझ से सरोकार नहीं, तुझ से मुझे काम नहीं, ग़र्ज़ नहीं, मतलब नहीं, तू मुझे दरकार नहीं तुझ से मुझे रग़बत नहीं, मैं तुझे नहीं चाहता। (फ़तावा रज़विया)

मसअ्ला :– किनाया के इन अल्फ़ाज़ से एक बाइन तलाक़ होगी अगर्चे ब नियते तलाक़ बोले गये अगर्चे बाइन की नियत न हो और दो की नियत की जब भी वही एक वाक़ेअ् होगी मगर जबकि ज़ौजा बाँदी हो तो दो की नियत सहीह है और तीन की नियत की तो तीन वाक़ेअ् होंगी (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मदख़ूला(जिस से हमबिस्तरी की गयी हो) को एक तलाक़ दी थी फिर इ़द्दत में कहा कि मैंने उसे बाइन कर दिया या तीन तो बाइन या तीन वाक़ेअ् हो जायेंगी और अगर इ़द्दत या रजअ़त के बाद ऐसा कहा तो कुछ नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– सरीह़ सरीह़ को लाहिक़ होती है यानी पहले सरीह़ लफ़्ज़ों से त़लाक़ दी फिर इ़द्दत के अन्दर दूसरी मरतबा तलाक़ के सरीह़ लफ़्ज़ कहे तो उस से दूसरी वाक़ेअ् होगी यूँही बाइन के बाद भी सरीह़ लफ़्ज़ से वाक़ेअ् कर सकता है जबकि औ़रत इ़द्दत में हो और सरीह़ से मुराद यहाँ वह है जिस में नियत की ज़रूरत न हो अगर्चे उस से त़लाक़ बाइन पड़े और इ़द्दत में सरीह़ के बाद बाइन त़लाक़ दे सकता है और बाइन बाइन को लाहिक़ नहीं होती जबकि यह मुमकिन हो कि दूसरी को पहली की ख़बर देना कह सके मसलन पहले कहा था कि तू बाइन है उस के बाद फिर यही लफ़्ज़ कहा तो उस से दूसरी वाक़ेअ् न होगी कि यह पहली तलाक़ की ख़बर है या दोबारा कहा मैंने तुझे बाइन कर दिया और अगर दूसरी को पहली से ख़बर देना न कह सकें मसलन पहले त़लाक़ बाइन दी फिर कहा मैंने दूसरी बाइन दी तो अब दूसरी पड़ेगी यूहीं पहली सूरत में भी दो वाक़ेअ् होंगी जबकि दूसरी से दूसरी तलाक़ की नियत की हो (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– बाइन को किसी शर्त़ मर मुअ़ल्लक़ किया या किसी वक़्त की त़रफ़ मुज़ाफ़ किया और उस शर्त़ या वक़्त के पाये जाने से पहले तलाक़ बाइन देदी मसलन यह कहा अगर तू आज घर में गई तो बाइन है या कल तुझे त़लाक़ बाइन है फिर घर में जाने और कल आने से पहले ही त़लाक़ बाइन देदी तो त़लाक़ हो गई फिर इ़द्दत के अन्दर शर्त़ पाई जाने और कल आने से एक त़लाक़ और पड़ेगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर औरत को तलाक़े बाइन दी या उस से खुलअ् किया उसके बाद कहा तू घर में गई तो बाइन है तो अब तलाक़ वाक़ेअ् न होगी और अगर दो शर्तों पर तलाक़ बाइन मुअल्लक़ की मसलन कहा अगर तू घर में जाये तो बाइन है और अगर मैं फुलाँ से कलाम करूँ तो तू बाइन है उन दोनों बातों के कहने के बाद अब वह घर में गई तो एक तलाक़ पड़ी फिर अगर उस शख़्स से इद्दत में शौहर ने कलाम किया तो दूसरी पड़ी यूहीं अगर पहले कलाम किया फिर घर में गई जब भी दो वाक़ेअ् होंगी और अगर पहले एक शर्त पर मुअल्लक़ की फिर उस के पाये जाने के बाद दूसरी शर्त पर मुअल्लक़ की दूसरी के पाये जाने पर तलाक़ न होगी (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुह्तार आलमगीरी)

मसअ्ला :– कसम खाई कि औरत के पास न जायेगा फिर चार महीने गुज़रने से पहले ब नियते तलाक़ उसे बाइन कहा या उस से खुलअ् किया तो तलाक़ वाक़ेअ् हो गई फिर कसम खाने से चार महीने तक उसके पास न गया तो यह दूसरी तलाक़ हुई और अगर पहले खुलअ् किया फिर कहा तू बाइन है तो वाक़ेअ् न होगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– यह कहा कि मेरी हर औरत को तलाक़ है या अगर यह काम करूँ तो मेरी औरत को तलाक़ है तो जिस औरत से खुलअ् किया है या जो तलाक़ बाइन की इद्दत में है इन लफ़्ज़ों से उसे तलाक़ न होगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :–जो फुरकत हमेशा के लिए हो यानी जिस की वजह से उस से कभी निकाह न हो सकता हो जैसे हुरमते मुसाहिरत(सुसराली रिश्ते) व हुरमते रज़ाअ् (दूध पिलाने की वजह) तो उस औरत पर इद्दत में भी तलाक़ नहीं हो सकती यूँही अगर उस की औरत कनीज़ थी उस को ख़रीद लिया तो अब उसे तलाक़ नहीं दे सकता कि वह निकाह से बिल्कुल निकल गई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– ज़न व शौहर में से कोई मआज़ल्लाह मुरतद हुआ मगर दारूल इस्लाम में रहा तो तलाक़ हो सकती है और अगर दारुलहर्ब को चला गया तो अब तलाक़ नहीं हो सकती और मुरतद होकर दारुलहर्ब को चला गया था फिर मुसलमान हो कर वापस आया और औरत अभी इद्दत में है तो तलाक़ दे सकता है और औरत अगर्चे वापस आजाये तलाक़ नहीं हो सकती (रद्दुल मुह्तार)

मसअ्ला :– ख़ियारे बुलूग़ यानी बालिग़ होते ही निकाह से नाराज़ी ज़ाहिर की और इत्क़ कि आज़ाद होकर तफ़रीक़ चाही उन दोनों के बाद तलाक़ नहीं हो सकती (दुर्रे मुख़्तार)

तलाक़ सुपुर्द करने का बयान

अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फरमाता है।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَ اُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ۝ وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا.

तर्जमा :– "ऐ नबी अपनी बीवियों से फ़रमा दो कि अगर तुम दुनिया की ज़िन्दगी और उस की ज़ीनत चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें माल दूँ और तूम को अच्छी तरह छोड़ दूँ और अगर अल्लाह व रसूल और आख़िरत का घर चाहती हो तो अल्लाह ने तुम में नेकी वालों के लिए बड़ा अज्र तैयार कर रखा है"

सहीह मुस्लिम शरीफ़ में हज़रत जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि जब यह आयत नाज़िल हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से फ़रमाया ऐ आइशा मैं तुझ पर एक बात पेश करता हूँ उस में जल्दी न करना जब तक

अपने वालिदैन से मशवरा न कर लेना जवाब न देना और हुज़ूर को मालूम था कि उन के वालिदैन जुदाई के लिए मशवरा न देंगे उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह वह क्या बात है हुज़ूर ने इस आयत की तिलावत की उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हुज़ूर के बारे में मुझे वालिदैन से मशवरा की क्या हाजत है बल्कि में अल्लाह व रसूल और आख़िरत के घर को इख़्तियार करती हूँ और मैं यह चाहती हूँ कि अज़वाजे मुतह्हरात में से किसी को मेरे जवाब की हुज़ूर ख़बर न दें इरशाद फ़रमाया जो मुझ से पूछेगी कि आइशा ने क्या जवाब दिया है मैं उसे ख़बर दूँगा अल्लाह ने मुझे मशक़्क़त में डालने वाला और मशक़्क़त में पड़ने वाला बना कर नहीं भेजा है उस ने मुझे मुअ़ल्लिम और आसानी करने वाला बना कर भेजा है सहीह बुख़ारी शरीफ़ में आइशा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से मरवी फ़रमाती हैं नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने हमें इख़्तियार दिया हम ने अल्लाह व रसूल को इख़्तियार किया और उस को कुछ(या़नी तलाक़)नहीं शुमार किया। उसी में ही मसरूक़ कहते हैं मुझे कुछ परवाह नहीं कि उस को एक दफ़अ़ इख़्तियार दूँ या सौ दफ़अ़ जबकि वह मुझे इख़्तियार करे या़नी उस सूरत में तलाक़ नहीं होती।

अह्कामे फ़िक़्हिय्या

मसअ्ला :– औरत से कहा तुझे इख़्तियार है या तेरा मुआ़मला तेरे हाथ है और उस से मक़सूद तलाक़ का इख़्तियार देना है तो औरत उस मज्लिस में अपने को तलाक़ दे सकती है अगर्चे वह मज्लिस कितनी ही तवील हो और मज्लिस बदलने के बाद कुछ नहीं कर सकती **और अगर** औरत वहाँ मौजूद न थी या मौजूद थी मगर सुना नहीं और उसे इख़्तियार उन्ही लफ़्ज़ों से दिया तो जिस मज्लिस में उसे उसका इल्म हुआ उस का एअ्तिबार है हाँ अगर शौहर ने कोई वक़्त मुक़र्रर कर दिया था मसलन आज उसे इख़्तियार है और वक़्त गुज़रने के बाद उसे इल्म हुआ तो अब कुछ नहीं कर सकती और अगर उन लफ़्ज़ों से शौहर ने तलाक़ की नियत ही न की तो कुछ नहीं कि यह किनाया हैं और किनाया में बे नियत तलाक़ नहीं हाँ अगर ग़ज़ब की हालत में कहा या उस वक़्त तलाक़ की बातचीत थी तो अब नियत नहीं देखी जायेगी और अगर औरत ने अभी कुछ न कहा था कि शौहर ने अपने कलाम को वापस लिया तो मज्लिस के अन्दर वापस न होगा या़नी बाद वापसी ए शौहर भी औरत अपने को तलाक़ दे सकती है और शौहर उसे मनअ़ भी नहीं कर सकता और अगर शौहर ने यह लफ़्ज़ कहे कि तू अपने को तलाक़ दे दे या तुझे अपनी तलाक़ का इख़्तियार है जब भी यही सब अह्काम हैं मगर उस सूरत में औरत ने तलाक़ देदी तो रजई पड़ेगी हाँ उस सूरत में औरत ने तीन तलाक़ें दीं और मर्द ने तीन की नियत भी कर ली है तो तीन होंगी और मर्द कहता है मैंने एक की नियत की थी तो एक भी वाक़ेअ़ न होगी और अगर शौहर ने तीन की नियत की या यह कहा तू अपने को तीन तलाक़ें दे ले और औरत ने एक दी तो एक पड़ेगी और अगर कहा तू अगर चाहे तो अपने को तीन तलाक़ें दे औरत ने एक दी या कहा तू अगर चाहे तो अपने को एक तलाक़ दे औरत ने तीन दीं तो दोनों सूरतों में कुछ नहीं मगर पहली सूरत में अगर औरत ने कहा मैंने अपने को तलाक़ दी एक और एक और एक तो तीन पड़ेंगी (जौहरा, दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी वग़ैरहा)

मसअ्ला :– इन अल्फ़ाज़े मज़कूरा (ज़िक्र किए गये अल्फ़ाज़ों) के साथ यह भी कहा कि तू जब चाहे या जिस वक़्त चाहे तो अब मज्लिस बदलने से इख़्तियार बातिल न होगा और शौहर को कलाम वापस लेने का अब भी इख़्तियार न होगा।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर औरत से कहा तू अपनी सौत को तलाक़ दे दे या किसी और शख़्स से कहा तू मेरी औरत को तलाक़ देदे तो मज्लिस के साथ मुक़य्यद नहीं बाद मज्लिस भी तलाक़ हो सकती है और उस में रूजूअ् कर सकता है कि यह वकील है और मुअक्किल को इख़्तियार है कि वकील को मअ्ज़ूल कर दे मगर जबकि मशीयत पर मुअल्लक़ कर दिया हो यानी कह दिया हो कि अगर तू चाहे तो तलाक़ देदे तो अब तौकील (वकील बनाना) नहीं बल्कि तमलीक (मालिक बना देना) है लिहाज़ा मज्लिस के साथ ख़ास है और रूजूअ् न कर सकेगा और अगर औरत से कहा तू अपने को और अपनी सौत को तलाक़ देदे तो ख़ुद उस के हक़ में तमलीक है और सौत के हक़ में तौकील और हर एक का हुक्म वह है जो ऊपर हुआ यानी अपने को मज्लिस बदलने के बाद नहीं दे सकती और सौत को दे सकती है जौहरा(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– तमलीक (मालिक बना देना) व तौकील (वकील बना देना) में चन्द बातों का फ़र्क़ है तमलीक में रूजूअ् नहीं कर सकता मअ्ज़ूल नहीं कर सकता बाद तमलीक के शौहर मजनून हो जाये तो बातिल न होगी जिस को मालिक बनाया उसका आक़िल होना ज़रूरी नहीं और मज्लिस के साथ मुक़य्यद है और तौकील में इन सब का अक्स है अगर बिलकुल नासमझ बच्चे से कहा तू मेरी औरत को अगर चाहे तलाक़ देदे और वह बोल सकता है उस ने तलाक़ देदी वाक़ेअ् होगई यूँही अगर मजनून को मालिक कर दिया और उस ने देदी तो होगई और वकील बनाया तो नहीं और मालिक करने की सूरत में अगर अच्छा था उस के बाद मजनून हो गया तो वाक़ेअ् न होगी(दुर्रे मुख़्तार)

मज्लिस बदलने की सूरतें

मसअ्ला :– बैठी थी खड़ी होगई या एक काम कर रही थी उसे छोड़ कर दूसरा काम करने लगी मसलन खाना मंगवाया या सोगई या ग़ुस्ल करने लगी या मेहन्दी लगाने लगी, या किसी से ख़रीद व फ़रोख़्त की बात की, या खड़ी थी जानवर पर सवार हो गई या सवार थी उतर गई, या एक सवारी से उतर कर दूसरे पर सवार हुई, या सवार थी मगर जानवर खड़ा था चलने लगा तो इन सब सूरतों में मज्लिस बदलगई और अब तलाक़ का इख़्तियार न रहा और अगर खड़ी थी बैठ गई या खड़ी थी और मकान में टहलने लगी या बैठी हुई थी तकिया लगा लिया या तकिया लगाये हुए थी सीधी होकर बैठ गई या अपने बाप वग़ैरा किसी को मशवरा के लिए बुलाया गवाहों को बुलाने गई कि उन के सामने तलाक़ दे बशर्ते कि वहाँ कोई ऐसा नहीं जो बुला दे या सवारी पर जारही थी उसे रोक दिया या पानी पिया या खाना वहाँ मौजूद था कुछ थोड़ा सा खालिया इन सब सूरतों में मज्लिस नहीं बदली (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार वग़ैरहा)

मसअ्ला :– कश्ती घर के हुक्म में है कि कश्ती के चलने से मज्लिस न बदलेगी और जानवर पर सवार है और जानवर चल रहा है तो मज्लिस बदल रही है हाँ अगर शौहर के सुकूत करते ही फ़ौरन उसी क़दम में जवाब दिया तो तलाक़ होगई और अगर महमल में दोनों सवार हैं जिसे कोई खींचे लिए जाता है तो मज्लिस नहीं बदली कि यह कश्ती के हुक्म में है (दुर्रे मुख़्तार)गाड़ी पालकी का भी यही हुक्म है।

मसअ्ला :– बैठी हुई थी लेट गई अगर तकिया वग़ैरा लगा कर उस तरह लेटी जैसे सोने के लिए लेटते हैं तो इख़्तियार जाता रहा (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– दो ज़ानो बैठी थी चार ज़ानो बैठ गई या अक्स किया या बैठी सोगई तो मज्लिस नहीं बदली (आलमगीरी रद्दुल मुहतार)

मसअला :– शौहर ने उसे मजबूर कर के खड़ा किया या जिमाअ् किया तो इख़्तियार न रहा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– शौहर के इख़्तियार देने के बाद औरत ने नमाज़ शुरू कर दी इख़्तियार जाता रहा नमाज़ फ़र्ज़ हो या वाजिब या नफ़्ल और अगर औरत नमाज़ पढ़ रही थी उसी हालत में इख़्तियार दिया तो अगर वह नमाज़ फ़र्ज़ या वाजिब या सुन्नत मुअक्कदा है तो पूरी कर के जवाब दे इख़्तियार बातिल न होगा और अगर नफ़्ल नमाज़ है तो दो रकअ़त पढ़ कर जवाब दे और अगर तीसरी रकअ़त के लिए खड़ी हुई तो इख़्तियार जाता रहा अगर्चे सलाम न फेरा हो और अगर सुबहानल्लाह कहा या कुछ थोड़ा सा क़ुर्आन पढ़ा तो बातिल न हुआ और ज़्यादा पढ़ा तो बातिल होगया (जौहरा)और अगर औरत ने जवाब में कहा तू अपनी ज़बान से क्यों तलाक़ नहीं देता तो उस कहने से इख़्तियार बातिल न होगा और अगर यह कहा अगर तू मुझे तलाक़ देता है तो इतना मुझे देदे तो इख़्तियार बातिल हो गया (आलमगीरी रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अगर एक ही वक़्त में उस की और शुफ़आ की ख़बर पहुँची और औरत दोनों को इख़्तियार करना चाहती है तो यह कहना चाहिए कि मैंने दोनों को इख़्तियार किया वरना जिस एक को इख़्तियार करेगी दूसरा जाता रहेगा (आलमगीरी)

मसअला :– मर्द ने अपनी औरत से कहा तू अपने नफ़्स को इख़्तियार कर औरत ने कहा मैंने अपने नफ़्स को इख़्तियार किया या कहा मैंने इख़्तियार किया या इख़्तियार करती हूँ तो एक तलाक़ बाइन वाक़ेअ् होगी और तीन की नियत सहीह नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– तफ़वीज़े तलाक़ में यह ज़रूर है कि ज़न व शौहर दोनों में से एक के कलाम में लफ़्ज़ नफ़्स या तलाक़ का ज़िक्र हो। अगर शौहर ने कहा तुझे इख़्तियार है औरत ने कहा मैंने इख़्तियार किया तलाक़ वाक़ेअ् न होगी और अगर जवाब में कहा मैंने अपने नफ़्स को इख़्तियार किया या शौहर ने कहा था तू अपने नफ़्स को इख़्तियार कर औरत ने कहा मैं ने इख़्तियार किया या कहा मैंने किया तो अगर नियत तलाक़ थी तो होगई और यह भी ज़रूर है कि लफ़्ज़ नफ़्स को मुत्तसिलन (मिलाकर)ज़िक्र करे और अगर उस लफ़्ज़ को कुछ देर बाद कहा और मज्लिस बदली न हो तो मुत्तसिल ही के हुक्म में है यानी तलाक़ वाक़ेअ् होगी और मज्लिस बदलने के बाद कहा तो बेकार है (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला :– शौहर ने दो बार कहा इख़्तियार कर इख़्तियार कर या कहा अपनी माँ को इख़्तियार कर तो अब लफ़्ज़ नफ़्स ज़िक्र करने की हाजत नहीं यह उस के क़ाइम मक़ाम होगया यूहीं औरत का कहना कि मैंने अपने बाप या माँ या अहल या अज़वाज को इख़्तियार किया लफ़्ज़ नफ़्स के क़ाइम मक़ाम है और अगर औरत ने कहा मैंने अपनी क़ौम या कुन्बा वालों या रिश्ते दारों को इख़्तियार किया तो यह उस के क़ाइम मक़ाम नहीं और अगर औरत के माँ बाप न हों तो यह कहना भी कि मैंने अपने भाई को इख़्तियार किया काफ़ी नहीं और माँ बाप न होने की सूरत में उस ने माँ बाप को इख़्तियार किया जब भी तलाक़ हो जायेगी औरत से कहा तीन को इख़्तियार कर औरत ने कहा मैंने इख़्तियार किया तीन तलाक़ें पड़ जायेंगी (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार, वग़ैराहुमा)

मसअला :– औरत ने जवाब में कहा मैंने अपने नफ़्स को इख़्तियार किया नहीं बल्कि अपने शौहर को तो वाक़ेअ् हो जायेगी **और यूँ** कहा कि मैंने अपने शौहर को इख़्तियार किया नहीं बल्कि अपने नफ़्स को तो वाक़ेअ् न होगी और अगर कहा मैंने अपने नफ़्स या शौहर को इख़्तियार किया तो वाक़ेअ् न होगी **और अगर** कहा अपने नफ़्स और शौहर को तो वाक़ेअ् होगी **और अगर** कहा शौहर और नफ़्स को तो नहीं (फ़तहुल क़दीर)

मसअ्ला :– मर्द ने औरत को इख़्तियार दिया था औरत ने अभी जवाब न दिया था कि शौहर ने कहा अगर तू अपने को इख़्तियार कर ले तो एक हज़ार दूँगा औरत ने अपने को इख़्तियार किया तो न तलाक़ हुई न माल देना वाजिब आया (फ़त्हुलक़दीर)

मसअ्ला :– शौहर ने इख़्तियार दिया औरत ने जवाब में कहा मैंने अपने को बाइन किया या हराम कर दिया या तलाक़ दी तो जवाब हो गया और एक बाइन तलाक़ पड़ गई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– शौहर ने तीन बार कहा तुझे अपने नफ़्स को इख़्तियार है औरत ने कहा मैंने इख़्तियार किया या कहा पहले को इख़्तियार किया या बीच वाले को या पिछले को या एक को बहर हाल तीन तलाक़ें वाक़ेअ् होंगी और अगर उस के जवाब में कहा कि मैं ने अपने नफ़्स को तलाक़ दी या मैंने अपने नफ़्स को एक तलाक़ के साथ इख़्तियार किया या मैंने पहली तलाक़ इख़्तियार की तो एक बाइन वाक़ेअ् होगी (तनवीरुलअबसार)

मसअ्ला :– शौहर ने तीन मरतबा कहा मगर औरत ने पहली ही बार के जवाब में कह दिया मैंने अपने नफ़्स को इख़्तियार किया तो बाद वाले अल्फ़ाज़ बातिल हो गये यूँही अगर औरत ने कहा मैं ने एक को बातिल कर दिया तो सब बातिल होगये (आलमगीरी)

मसअ्ला :– शौहर ने कहा तुझे अपने नफ़्स का इख़्तियार है कि तू तलाक़ देदे औरत ने तलाक़ दी तो बाइन वाक़ेअ् हुई (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औरत से कहा तीन तलाक़ों में से जो तू चाहे तुझे इख़्तियार है तो एक या दो का इख़्तियार है तीन का नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत को इख़्तियार दिया उस ने जवाब में कहा मैं तुझे नहीं इख़्तियार करती या तुझे नहीं चाहती या मुझे तेरी हाजत नहीं तो यह सब कुछ नहीं और अगर कहा मैंने यह इख़्तियार किया कि तेरी न हों तो बाइन होगई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी से कहा तू मेरी औरत को इख़्तियार देदे तो जब तक यह शख़्स उसे इख़्तियार न देगा औरत को इख़्तियार हासिल नहीं और अगर उस शख़्स से कहा तू औरत को इख़्तियार की ख़बर दे तो औरत को इख़्तियार हासिल हो गया अगर्चे ख़बर न करे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– कहा तुझे इस साल या इस महीने या आज दिन में इख़्तियार है तो जब तक वक़्त बाक़ी है इख़्तियार है अगर्चे मज्लिस बदल गई हो और अगर एक दिन कहा तो चौबीस घन्टे और एक माह कहा तो तीस दिन तक इख़्तियार है और चाँद जिस वक़्त दिखाई दिया उस वक़्त एक महीने का इख़्तियार दिया तो तीस दिन ज़रूर नहीं बल्कि दूसरे हिलाल तक है (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– निकाह से पेश्तर तफ़वीज़े तलाक़ की मसलन औरत से कहा अगर मैं दूसरी औरत से निकाह करूँ तो तुझे अपने नफ़्स को तलाक़ देने का इख़्तियार है तो यह तफ़वीज़ न हुई कि इज़ाफ़त मिल्क की तरफ़ नहीं यूँही अगर ईजाब व क़बूल में शर्त की और ईजाब शौहर की तरफ़ से हो मसलन कहा मैं तुझे इस शर्त पर निकाह में लाया औरत ने कहा मैंने क़बूल किया जब भी तफ़वीज़ न हुई और अगर अक़्द में शर्त की और ईजाब औरत या उस के वकील ने किया मसलन मैंने अपने नफ़्स को या अपनी फ़ुलाँ मुवक्किला को इस शर्त पर तेरे निकाह में दिया मर्द ने कहा मैंने उस शर्त पर क़बूल किया तो तफ़वीज़ तलाक़ होगई शर्त पाई जाये तो औरत को जिस मज्लिस में इल्म हुआ अपने को तलाक़ देने का इख़्तियार है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मर्द ने औरत से कहा तेरा अम्र (मुआमला) तेरे हाथ है तो उस में भी वही शराइत व अहकाम हैं जो इख़्तियार के हैं कि नियते तलाक़ से कहा हो और नफ़्स का ज़िक्र हो और जिस

मज्लिस में कहा या जिस मज्लिस में इल्म हुआ उसी में औरत ने तलाक़ दी हो तो वाक़ेअ् हो जायेगी और शौहर रूजूअ् नहीं कर सकता सिर्फ़ एक बात में फ़र्क़ है वहाँ तीन की नियत सहीह नहीं अगर इस में अगर तीन तलाक़ की नियत की तो तीन वाक़ेअ् होंगी अगर्चे औरत ने अपने को एक तलाक़ दी या कहा मैंने अपने नफ़्स को कबूल किया या अपने अम्र को इख़्तियार किया या तू मुझपर हराम है या मुझ से जुदा है या मैं तुझ से जुदा हूँ या मुझे तलाक़ है और अगर मर्द ने दो की नियत की या एक की या नियत में कोई अदद न हो तो एक होगी (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :— ज़ौजा नाबालिग़ा है उस से यह कहा कि तेरा अम्र (मुआमला)तेरे हाथ है उस ने अपने को तलाक़ देदी हो गई और अगर औरत के बाप से कहा कि उस का अम्र तेरे हाथ है उस ने कहा मैंने कबूल किया या कोई और लफ़्ज़ तलाक़ का कहा तलाक़ हो गई (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :— औरत के लिए यह लफ़्ज़ कहा मगर उसे उस का इल्म न हुआ और तलाक़ दे ली वाक़ेअ् न हुई (ख़ानिया)

मसअ्ला :— शौहर ने कहा तेरा अम्र तेरे हाथ है उस के जवाब में औरत ने कहा मेरा अम्र मेरे हाथ है तो यह जवाब न हुआ यानी तलाक़ न हुई बल्कि जवाब में वह लफ़्ज़ होना चाहिए जिस की निस्बत औरत की तरफ़ अगर ज़ौज करता तो तलाक़ होती (दुर्रे मुख़्तार) मसलन कहे मैंने अपने नफ़्स को हराम किया, बाइन किया, तलाक़ दी, वग़ैरहा **यूँही** अगर जवाब में कहा मैंने अपने नफ़्स को इख़्तियार किया या कहा कबूल किया या औरत के बाप ने कबूल किया जब भी तलाक़ होगई **यूँही** अगर जवाब में कहा तू मुझ पर हराम है या मैं तुझ पर हराम हुई या तू मुझ से जुदा है या मैं तुझ से जुदा हूँ या कहा मैं हराम हूँ या मैं जुदा हूँ तो इन सब सूरतों में तलाक़ है **और अगर** कहा तू हराम है और यह न कहा कि मुझ पर या तू जुदा है और यह न कहा कि मुझ से तो बातिल है तलाक़ न हुई (आलमगीरी)

मसअ्ला :— उस के जवाब में अगर्चे रजई का लफ़्ज़ हो तलाक़ बाइन पड़ेगी हाँ अगर शौहर ने कहा तेरा अम्र तेरे हाथ है तलाक़ देने में रजई होगी या शौहर ने कहा तीन तलाक़ का अम्र तेरे हाथ है और औरत ने एक या दो दीं तो रजई है (आलमगीरी)

मसअ्ला :— तेरा अम्र तेरी हथेली में है या दाहिने हाथ या बायें हाथ में या तेरा अम्र तेरे हाथ में कर दिया या तेरे हाथ को सुपुर्द कर दिया या तेरे मुँह में है या ज़बान में जब भी वही हुक्म है(आलमगीरी)

मसअ्ला :— अगर उन अल्फ़ाज़ को बनियतें तलाक़ न कहा तो कुछ नहीं मगर हालते ग़ज़ब या मुज़ाकिराए तलाक़ में कहा तो नियत नहीं देखी जायेगी बल्कि तलाक़ का हुक्म दे देंगे और अगर मर्द को हालते गज़ब या मुज़ाकिरए तलाक़ से इन्कार है तो औरत से गवाह लिए जायें गवाह न पेश कर सके तो क़सम लेकर शौहर का क़ौल माना जाये और नियते तलाक़ पर अगर औरत गवाह पेश करे तो मक़बूल नहीं हाँ अगर मर्द ने नियत का इक़रार किया हो और इक़रार के गवाह औरत पेश करे तो मक़बूल है (आलमगीरी)

मसअ्ला :— शौहर ने कहा तेरा अम्र तेरे हाथ है आज और परसों तो दोनों रातें दरमियान की दाख़िल नहीं और यह दो तफ़वीज़ें जुदा जुदा हैं लिहाज़ा अगर आज रद कर दिया तो परसों औरत को इख़्तियार रहेगा और रात में तलाक़ देगी तो वाक़ेअ् न होगी और एक दिन में एक ही बार तलाक़ दे सकती है **और अगर** आज और कल तो रात दाख़िल है और आज रद कर देगी तो कल के लिए भी इख़्तियार न रहा कि यह एक तफ़वीज़ है **और अगर** यूँ कहा आज तेरा अम्र तेरे हाथ है

और कल तेरा अम्र तेरे हाथ है तो रात दाख़िल नहीं और जुदा जुदा दो तफ़वीजें हैं और अगर कहा तेरा अम्र तेरे हाथ है आज और कल और परसों तो एक तफ़वीज़ है और रातें दाख़िल हैं और जहाँ दो तफ़वीजें हैं अगर आज उस ने तलाक़ दे ली फिर कल आने से पहले उसी से निकाह कर लिया तो कल फिर उसे तलाक़ देने का इख़्तियार हासिल है (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत ने यह दअ्वा किया कि शौहर ने मेरा अम्र मेरे हाथ में दिया तो यह दअ्वा न सुना जाये कि बेकार है हाँ औरत ने उस अम्र के सबब अपने को तलाक़ देली फिर तलाक़ होने और महर लेने के लिए दअ्वा किया तो अब सुना जायेगा (आलमगीरी)

मसअला :– अगर यह कहा कि तेरा अम्र तेरे हाथ है जिस दिन फ़ुलाँ आये तो सिर्फ़ दिन के लिए है अगर रात में आया तो तलाक़ नहीं दे सकती और अगर वह दिन में आया मगर औरत को उस के आने का इल्म न हुआ यहाँ तक कि आफ़ताब डूब गया तो अब इख़्तियार न रहा (आलमगीरी)

मसअला :– अगर कोई वक़्त मुअय्यन (ख़ास)न किया तो मज्लिस बदलने से इख़्तियार जाता रहेगा जैसा ऊपर मज़कूर हुआ और अगर वक़्त मुअय्यन कर दिया हो मसलन आज या कल या इस महीने या इस साल में तो पूरे वक़्त में इख़्तियार हासिल है।

मसअला :– कातिब से कहा तू लिख दे अगर मैं अपनी औरत की बग़ैर इजाज़त सफ़र को जाऊँ तो वह जब चाहे अपने को एक तलाक़ दे ले औरत ने कहा मैं एक तलाक़ नहीं चाहती तीन तलाक़ें लिखवा मगर शौहर ने इन्कार कर दिया और लिखने की नोबत न आई तो औरत को एक तलाक़ का इख़्तियार हासिल रहा (आलमगीरी)

मसअला :– अजनबी शख़्स से कहा कि मेरी औरत का अम्र तेरे हाथ है तो उस को तलाक़ देने का इख़्तियार हासिल है और वही अहकाम हैं जो ख़ुद औरत के हाथ में इख़्तियार देने के हैं (आलमगीरी)

मसअला :– दो शख़्सों के हाथ में दिया तो तन्हा एक कुछ नहीं कर सकता और अगर कहा मेरे हाथ में है और तेरे और मुख़ातब ने तलाक़ देदी तो जब तक शौहर उस तलाक़ को जाइज़ न करेगा न होगी और अगर कहा अल्लाह के हाथ में है और तेरे हाथ में और मुख़ातब ने तलाक़ देदी तो होगई (आलमगीर)

मसअला :– औरत के औलिया ने तलाक़ लेनी चाही शौहर औरत के बाप से यह कह कर चला गया कि तुम जो चाहो करो और बीवी के वालिद ने तलाक़ देदी तो अगर शौहर ने तफ़वीज़ के इरादा से न कहा हो तलाक़ न होगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत से कहा अगर तेरे होते सते निकाह करूँ तो उसका अम्र तेरे हाथ में है फिर किसी फ़ुज़ूली ने उस का निकाह कर दिया और उस ने कोई काम ऐसा किया जिस से वह निकाह जाइज़ होगया मसलन महर भेज दिया, या वती की, ज़बान से कहकर जाइज़ न किया तो पहली औरत को इख़्तियार नहीं कि उसे तलाक़ देदे और अगर उस के वकील ने निकाह कर दिया या फ़ुज़ूली के निकाह को ज़बान से जाइज़ किया या कहा था कि मेरे निकाह में अगर कोई औरत आये तो ऐसा है तो इन सब सूरतों में औरत को इख़्तियार है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अपनी दो औरतों से कहा कि तुम्हारा अम्र तुम्हारे हाथ है तो अगर दोनों अपने को तलाक़ दें तो होगी वरना नहीं (आलमगीरी)

मसअला :– अपनी औरत से कहा कि मेरी औरतों का अम्र तेरे हाथ में है या तू मेरी जिस औरत को चाहे तलाक़ देदे तो ख़ुद अपने को वह तलाक़ नहीं दे सकती (आलमगीरी)

मसअला :– फ़ुज़ूली ने किसी औरत से कहा तेरा अम्र तेरे हाथ हैं औरत ने कहा मैंने अपने नफ़्स

को इख़्तियार किया और यह ख़बर शौहर को पहुँची उस ने जाइज़ कर दिया तो तलाक़ वाक़ेअ़ न हुई मगर जिस मज्लिस में औरत को इजाज़ते शौहर का इल्म हुआ उसे इख़्तियार हासिल होगया यानी अब चाहे तो तलाक़ दे सकती है **यूँही अगर औरत** ने ख़ुद ही कहा मैं ने अपना अम्र अपने हाथ में किया फिर कहा मैंने अपने नफ़्स को इख़्तियार किया और शौहर ने जाइज़ कर दिया तो तलाक़ न हुई मगर इख़्तियारे तलाक़ हासिल हो गया **और अगर औरत** ने यह कहा कि मैंने अपना अम्र अपने हाथ में किया और अपने को मैंने तलाक़े दी शौहर ने जाइज़ कर दिया तो एक तलाक़े रजई होगई और औरत को इख़्तियार भी हासिल हो गया यानी अब अगर औरत अपने नफ़्स को इख़्तियार करे तो दूसरी बाइन तलाक़ वाक़ेअ़ होगी औरत ने कहा मैंने अपने को बाइन कर दिया शौहर ने जाइज़ किया और शौहर की नियत तलाक़ की है तो तलाक़ बाइन होगई **और औरत** ने तलाक़ देना कहा तो इजाज़ते शौहर के वक़्त अगर शौहर की नियत न भी हो तलाक़ हो जायेगी और तीन की नियत सहीह नहीं **और औरत** ने कहा मैंने अपने को तुझ पर हराम कर दिया शौहर ने जाइज़ कर दिया तलाक़ होगई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– शौहर से किसी ने कहा फ़ुलाँ शख़्स ने तेरी औरत को तलाक़ देदी उसने जवाब में कहा अच्छा किया तो तलाक़ हो गई और अगर कहा बुरा किया तो न हुई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अपनी औरत से कहा जब तक तू मेरे निकाह में है अगर मैं किसी औरत से निकाह करूँ तो उस का अम्र तेरे हाथ में है फिर इस औरत से ख़ुलअ़ किया या तलाक़ बाइन या तीन तलाक़ें दीं अब दूसरी औरत से निकाह किया तो पहली औरत को कुछ इख़्तियार नहीं और अगर यह कहा था कि किसी औरत से निकाह करूँ तो उस का अम्र तेरे हाथ है तो ख़ुलअ़ वग़ैरा के बाद भी उस को इख़्तियार है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत से कहा तू अपने को तलाक़ देदे और नियत कुछ न हो या एक या दो की नियत हो और औरत आज़ाद हो तो औरत के तलाक़ देने से एक रजई वाक़ेअ़ होगी और तीन की नियत की हो तो तीन पड़ेंगी और औरत बाँदी हो तो दो की नियत भी सहीह है **और अगर** औरत ने जवाब में कहा कि मैंने अपने को बाइन किया या जुदा किया या मैं हराम हूँ या बरी हूँ जब भी एक रजई वाक़ेअ़ होगी **और अगर** कहा मैंने अपने नफ़्स को इख़्तियार किया तो कुछ नहीं अगर्चे शौहर ने जाइज़ करदिया हो (दुर्रे मुख़्तार) किसी और से कहा तू मेरी औरत को रजई तलाक़ दे उस ने बाइन दी जब भी रजई होगी और अगर वकील ने तलाक़ का लफ़्ज़ न कहा बल्कि कहा मैं ने उसे बाइन कर दिया या जुदा कर दिया तो कुछ नहीं (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– औरत से कहा अगर तू चाहे तो अपने को दस तलाक़ें दे औरत ने तीन दीं या कहा अगर चाहे तो एक तलाक़ दे औरत ने आधी दी तो दोनों सूरतों में एक भी वाक़ेअ़ नहीं (ख़ानिया)

मसअ्ला :– शौहर ने कहा तू अपने को रजई तलाक़ दे औरत ने बाइन दी या शौहर ने कहा बाइन तलाक़ दे औरत ने रजई दी तो जो शौहर ने कहा वह वाक़ेअ़ होगी औरत ने जैसी दी वह नहीं और अगर शौहर ने उस के साथ यह भी कहा था कि तू अगर चाहे और औरत ने उस के हुक्म के ख़िलाफ़ बाइन या रजई दी तो कुछ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– किसी की दो औरतें हैं और दोनों मदख़ूला हैं उस ने दोनों को मुख़ातब करके कहा तुम दोनों अपने को यानी ख़ुद को और दूसरी को तीन तलाक़ें दो हर एक ने अपने को और सौत को आगे पीछे तीन तलाक़ें दीं तो पहली ही के तलाक़ देने से दोनों मुतल्लक़ा हो गईं और अगर पहले

सौत को तलाक़ दी फिर अपने को तो सौत को पड़ गई उस नहीं कि इख़्तियार साक़ित हो चुका लिहाज़ा दूसरी ने अगर उसे तलाक़ दी तो यह भी मुतल्लक़ा हो जायेगी वरना नहीं और अगर शौहर ने इस तरह इख़्तियार देने के बाद मनअ् कर दिया कि तलाक़ न दो तो जब मज्लिस बाक़ी है हर एक अपने को तलाक़ दे सकती है सौत को नहीं कि दूसरी के हक़ में वकील है और मनअ् कर देने से वकालत बातिल हो गई और अगर उस लफ़्ज़ के साथ यह भी कहा था कि अगर तुम चाहो तो फ़क़त एक के तलाक़ देने से तलाक़ न होगी जब तक दोनों उसी मज्लिस में अपने को और दूसरी को तलाक़ न दें तलाक़ न होगी और मज्लिस के बाद कुछ नहीं हो सकता (आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी से कहा अगर तू चाहे औरत को तलाक़ देदे उस ने कहा मैंनें चाहा तो तलाक़ न हुई और अगर कहा उस को तलाक़ है अगर तु चाहे उस ने कहा मैंने चाहा तो होगई (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– औरत से कहा तू अगर चाहे तो अपने को तलाक़ देदे औरत ने जवाब में कहा मैंने चाहा कि अपने को तलाक़ देदूँ तो कुछ नहीं। अगर कहा तू चाहे तो अपने को तीन तलाक़ें देदे औरत ने कहा मुझे तलाक़ है तो तलाक़ न हुई जबतक यह न कहे कि मुझे तीन तलाक़ें हैं(आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत से कहा अपने को तू तलाक़ देदे जैसी तू चाहे तो औरत को इख़्तियार है बाइन दे या रजई एक दे या दो या तीन मगर मज्लिस बदलने के बाद इख़्तियार न रहेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर कहा तू चाहे तो अपने को तलाक़ देदे और तू चाहे तो मेरी फ़ुलाँ बीवी को तलाक़ देदे तो पहले अपने को तलाक़ दे या उस को दोनों मुतल्लक़ा हो जायेंगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत से कहा तू जब चाहे अपने को एक तलाक़ बाइन देदे फिर कहा तू जब चाहे अपने को एक वह तलाक़ दे जिस में रजअ़त का मैं मालिक रहूँ औरत ने कुछ दिनों बाद अपने को तलाक़ दी तो रजई होगी और शौहर के पिछले कलाम का जवाब समझा जायेगा (आमलगीरी)

मसअ्ला :– औरत से कहा तुझको तलाक़ है अगर तू इरादा करे या पसन्द करे या ख़्वाहिश करे या महबूब रखे जवाब में कहा मैंने चाहा या इरादा किया हो गई यूँही अगर कहा तुझे मुवाफ़िक़ आये जवाब में कहा मैंने चाहा होगई और जवाब में कहा मैंने महबूब रखा तो न हुई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत से कहा अगर तू चाहे तो तुझ को तलाक़ है जवाब में कहा हाँ या मैंने क़बूल किया या मैं राज़ी हुई वाक़ेअ् न हुई और अगर कहा तू अगर कबूल करे तो तुझको तलाक़ है जवाब में कहा मैंने चाही तो होगई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत से कहा तुझ को तलाक़ है अगर तू चाहे जवाब में कहा मैंने चाहा अगर तू चाहे मर्द ने ब नियत तलाक़ कहा मैंने चाहा तो वाक़ेअ् न हुई और अगर मर्द ने आख़िर में कहा मैंने तेरी तलाक़ चाही तो होगई जबकि नियत भी हो (हिदाया) अगर औरत ने जवाब में कहा मैंने चाहा अगर फ़ुलाँ बात हुई हो किसी ऐसी चीज़ के लिए जो हो चुकी हो या उस वक़्त मौजूद हो मसलन अगर फ़ुलाँ शख़्स आया हो या मेरा बाप घर में हो और वाक़ेअ् में वह आचुका है या वह घर में है तो तलाक़ वाक़ेअ् हो गई और अगर वह ऐसी चीज़ है जो अब तक न हुई हो अगर्चे उस का होना यक़ीनी हो मसलन कहा मैंने चाहा अगर रात आये या उस का होना मोहतमिल (शक होना) हो मसलन अगर मेरा बाप चाहे तो तलाक़ न हुई अगर्चे उस के बाप ने कहदिया कि मैंने चाहा (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औरत से कहा तुझ को एक तलाक़ है अगर तू चाहे तुझ को दो तलाक़ें हैं अगर तू चाहे जवाब में कहा मैंने एक चाही मैंने दो चाहीं अगर दोनों जुमले मुत्तसिल हों तो तीन तलाक़ें हो गईं यूँही अगर कहा तुझ को तलाक़ है अगर तू चाहे एक और अगर तू चाहे दो उस ने जवाब में कहा मैंने चाही तो तीन तलाक़ें हो गईं (आलमगीरी)

मसअला :– शौहर नें कहा अगर तू चाहे और न चाहे तो तुझ को तलाक़ है। या तुझ को तलाक़ है अगर तू चाहे और न चाहे तो तलाक़ नहीं हो सकती चाहे या न चाहे और अगर कहा तुझ को तलाक़ है अगर तू चाहे और अगर तू न चाहे तो बहर हाल तलाक़ है चाहे या न चाहे अगर औरत से कहा तू तलाक़ को महबूब रखती है तो तुझ को तलाक़ और अगर तू उस को मबग़ूज़ रखती है तो तुझ को तलाक़ अगर औरत कहे मैं महबूब रखती हूँ या बुरा जानती हूँ तो तलाक़ हो जायेगी और अगर कुछ न कहे या कहे मैं न महबूब रखती हूँ न बुरा जानती तो न होगी (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अपनी दो औरतों से कहा तुम दोनों में से जिसे तलाक़ की ज़्यादा ख़्वाहिश है उस को तलाक़ दोनों ने अपनी ख़्वाहिश दूसरी से ज़्यादा बताई अगर शौहर दोनों की तस्दीक़ करे तो दोनों मुतल्लका हो गईं वरना कोई नहीं। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– औरत से कहा अगर तू मुझ से महब्बत या अदावत रखती है तो तुझ पर तलाक़ औरत ने उसी मज्लिस में महब्बत या अदावत ज़ाहिर की तलाक़ हो गई अगर्चे उसके दिल में जो कुछ है उस के ख़िलाफ़ ज़ाहिर किया हो और अगर शौहर ने कहा अगर दिल से तू मुझ से महब्बत रखती है तो तुझ पर तलाक़ औरत ने जवाब में कहा मैं तुझे महबूत रखती हूँ तलाक़ हो जायेगी अगर्चे झुटी हो (आलमगीरी)

मसअला :– औरत से कहा तुझ पर एक तलाक़ और अगर तुझे नगवार हो तो दो औरत ने नागवारी ज़ाहिर की तो तीन तलाक़ें हुईं और चुप रही तो एक (आलमगीरी)

मसअला :– तुझ को तलाक़ है जब तू चाहे या जिस वक़्त चाहे या जिस ज़माना में चाहे औरत ने रद कर दिया यानी कहा मैं नहीं चाहती तो रद न हुआ बल्कि आइन्दा जिस वक़्त चाहे तलाक़ दे सकती है मगर एक ही दे सकती ज़्यादा नहीं और अगर यह कहा कि जब कभी तू चाहे तो तीन तलाक़ें भी दे सकती है मगर दो एक साथ या तीनों एक साथ नहीं दे सकती बल्कि मुतफ़र्रिक तौर पर अगर्चे एक ही मज्लिस में तीन बार में तीन तलाक़ें दीं और इस लफ़्ज़ में अगर दो या तीन इकट्ठा दीं तो एक भी न हुई और अगर औरत ने मुतफ़र्रिक तौर पर अपने को तीन तलाक़ें देकर दूसरे से निकाह किया उस के बाद फिर शौहरे अव्वल से निकाह किया तो अब औरत को तलाक़ देने का इख़्तियार न रहा और अगर ख़ुद तलाक़ न दी या एक या दो देकर बाद इद्दत दूसरे से निकाह किया फिर शौहरे अव्वल के निकाह में आई तो अब फ़िर से तीन तलाक़ें मुतफ़र्रिक तौर पर देने का इख़्तियार है (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– तू तालिक़ है जिस जगह चाहे तो उसी मज्लिस तक इख़्तियार है बाद मज्लिस चाहा करे कुछ नहीं हो सकता (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर कहा जितनी तू चाहे या जिस क़दर या जो तू चाहे तो औरत को इख़्तियार है उस मज्लिस में जितनी तलाक़ें चाहे दे अगर्चे शौहर की कुछ नियत हो और बाद मज्लिस कुछ इख़्तियार नहीं और अगर कहा तीन में से जो चाहे या जिस क़दर या जितनी तो एक और दो का इख़्तियार है तीन का नहीं और इन सूरतों में तीन या दो तलाक़ें देना या हालते हैज़ में तलाक़ देना बिदअत नहीं (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– शौहर ने किसी शख़्स से कहा मैंने तुझे अपने तमाम कामों में वकील बनाया वकील ने उस की औरत को तलाक़ दे दी वाक़ेअ न हुई और अगर कहा तमाम उमूर में वकील किया जिन में वकील बनाना जाइज़ है तो तमाम बातों में वकील बन गया (ख़ानिया) यानी उस की औरत को तलाक़ भी देसकता है।

मसअला :– एक तलाक़ देने के लिए वकील किया वकील ने दो देदीं तो वाक़ेअ् न हुई और बाइन के लिए वकील किया वकील ने रजई दी तो बाइन होगी आर इजई के लिए वकील से कहा उस ने बाइन दी तो रजई हुई और अगर ऐसे को वकील किया जो ग़ाइब है और उसे अभी तक वकालत की ख़बर नहीं और मुवक्किल की औरत को तलाक़ देदी तो वाक़ेअ् न हुई कि अभी तक वकील ही नहीं **और अगर** किसी से कहा मैं तुझे अपनी औरत को तलाक़ देने से मनअ् नहीं करता तो उस कहने से वकील न हुआ या उस के सामने उसकी औरत को किसी ने तलाक़ दी और इस ने उसे मनअ् न किया जब भी वह वकील न हुआ। (आलमगीरी)

मसअला :– तलाक़ देने के लिए वकील किया और वकील के तलाक़ देने से पहले ख़ुद मुवक्किल ने औरत को तलाक़ बाइन या रजई दे दी तो जब तक औरत इद्दत में है वकील तलाक़ दे सकता है **और अगर** वकील ने तलाक़ नहीं दी और मुवक्किल ने ख़ुद तलाक़ देकर इद्दत के अन्दर उस औरत से निकाह कर लिया तो वकील अब भी तलाक़ दे सकता है और इद्दत गुजरने के बाद अगर निकाह किया तो नहीं और **अगर मियाँ** बी बी में कोई मआज़ल्लाह मुरतद हो गया जब भी इद्दत के अन्दर वकील तलाक़ दे सकता है हाँ अगर मुरतद हो कर दारुलहर्ब को चला गया और क़ाज़ी ने हुक्म भी देदिया तो अब वकालत बातिल हो गई **यूहीं अगर** वकील मआज़ल्लाह मुरतद हो जाये तो वकालत बातिल न होगी हाँ अगर दारुलहर्ब को चला गया और क़ाज़ी ने हुक्म भी देदिया तो बातिल(ख़ानिया)

मसअला :– तलाक़ के वकील को यह इख़्तियार नहीं कि दूसरे को वकील बनादे (आलमगीरी)

मसअला :– किसी को वकील बनाया और वकील ने मन्जूर न किया तो वकील न हुआ और अगर चुप रहा फिर तलाक़ देदी हो गई समझ दार बच्चा और ग़ुलाम को भी वकील बना सकता है(आलमगीरी)

मसअला :– वकील से कहा तू मेरी औरत को कल तलाक़ देदेना उस ने आज ही कह दिया तुझ पर कल तलाक़ है तो वाक़ेअ् न हुई **यूँही अगर** वकील से कहा तलाक़ दे दे उस ने तलाक़ को किसी शर्त पर मुअल्लक़ किया मसलन कहा अगर तू घर में जाये तो तुझ पर तलाक़ है और औरत घर में गई तलाक़ न हुई **यूहीं** वकील से तीन तलाक़ के लिए कहा वकील ने हज़ार तलाक़ें देदीं या आधी के लिए कहा वकील ने एक तलाक़ दी तो वाक़ेअ् न हुई (बहरुर्राइक़)

तअ्लीक़ का बयान

तअ्लीक़ के मअ्ना यह हैं कि किसी चीज़ का होना दूसरी चीज़ के होने पर मौक़ूफ़(Depend) किया जाये यह दूसरी चीज़ जिस पर पहली मौक़ूफ़ है उस को शर्त कहते हैं तअ्लीक़ सहीह होने के लिए यह शर्त है कि शर्त फ़िलहाल मअ्दूम (ख़त्म) हो मगर आदतन हो सकती हो लिहाज़ा अगर शर्त मअ्दूम न हो मसलन यह कहे कि अगर आसमान हमारे ऊपर हो तो तुझ को तलाक़ है यह तअ्लीक़ नहीं बल्कि फ़ौरन तलाक़ वाक़ेअ् हो जायेगी और अगर शर्त आदतन मुहाल हो मसलन यह कि अगर सुई के नाके में ऊँट चला जाये तो तुझ को तलाक़ है यह कलाम लग़व है उस से कुछ न होगा और यह भी शर्त है कि शर्त मुत्तसिलन बोली जाये और यह कि सज़ा देना मक़सूद न हो मसलन औरत ने शौहर को कमीना कहा शौहर ने कहा अगर मैं कमीना हूँ तो तुझ पर तलाक़ है तो तलाक़ होगई अगर्चे कमीना न हो कि ऐसे कलाम से तअ्लीक़ मक़सूद नहीं होती बल्कि औरत को ईज़ा देना और यह भी ज़रूरी है कि वह फ़ेअ्ल जिक किया जाये जिसे शर्त ठहराया लिहाज़ा अगर यूँ कहा तुझे तलाक़ है अगर और उस के बाद कुछ न कहा तो यह कलाम लग़व है तलाक़ न

वाक़ेअ् हुई न होगी। तअ्लीक़ के लिए शर्त यह है कि औरत तअ्लीक़ के वक़्त उस के निकाह में हो मसलन अपनी मनकूहा से या जो औरत उस की इद्दत में है कहा अगर तू फ़ुलाँ काम करे या फ़ुलाँ के घर जाये तो तुझ पर तलाक़ है या निकाह की तरफ़ इज़ाफ़त हो मसलन कहा अगर मैं किसी औरत से निकाह करू तो उस पर तलाक़ है या अगर मैं तुझ से निकाह करूँ तो तुझ पर तलाक़ है या जिस औरत से निकाह करूँ उसे तलाक़ है। और किसी अजनबिया से कहा अगर तू फ़ुलाँ के घर गई तो तुझ पर तलाक़ फिर उस से निकाह किया और वह औरत उस के यहाँ गई तलाक़ न हुई या कहा जो औरत मेरे साथ सोये उसे तलाक़ है फिर निकाह किया और साथ सोये तलाक़ न हुई यूँही अगर वालिदैन से कहा अगर तुम मेरा निकाह करोगे तो उसे तलाक़ फिर वालिदैन ने उस के बे कहे निकाह कर दिया तलाक़ वाक़ेअ् न होगी यूँही अगर तलाक़ सुबूते मिल्क या ज़वाले मिल्क के मक़ारिन (मिला हुआ)हो तो कलाम लग़्व है तलाक़ न होगी मसलन तुझ पर तलाक़ तेरे निकाह के साथ या मेरी या तेरी मौत के साथ(दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार वग़ैरा)

मसअ्ला :– तलाक़ किसी शर्त पर मुअ़ल्लक़ की थी और शर्त पाई जाने से पहले तीन तलाक़ें देदीं तो तअ्लीक़ बातिल हो गई यानी वह औरत फिर उस के निकाह में आये और अब शर्त पाई जाये तो तलाक़ वाक़ेअ् न होगी और अगर तअ्लीक़ के बाद तीन से कम तलाक़ें दीं तो तअ्लीक़ बातिल न हुई लिहाज़ा अब अगर औरत उस के निकाह में आये और शर्त पाई जाये तो जितनी तलाक़ें मुअ़ल्लक़ की थीं सब वाक़ेअ् हो जायेंगी यह उस सूरत में है कि दूसरे शौहर के बाद उस के निकाह में आई और अगर दो एक तलाक़ देदी फिर बग़ैर दूसरे के निकाह के ख़ुद निकाह कर लिया तो अब तीन में जो बाक़ी हैं वाक़ेअ् होंगी अगर्चे बाइन तलाक़ दी हो या रजई की इद्दत ख़त्म हो गई हो कि बाद इद्दत रजई में भी औरत निकाह से निकल जाती है ख़ुलासा यह है कि मिल्के निकाह जाने से तअ्लीक़ बातिल नहीं होती (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– शौहर मुरतद हो कर दारुल हर्ब को चला गया तो तअ्लीक़ बातिल होगई यानी अब अगर मुसलमान हुआ और उस औरत से निकाह किया फिर शर्त पाई गई तो तलाक़ वाक़ेअ् न होगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– शर्त का महल जाता रहा तअ्लीक़ बातिल हो गई मसलन कहा अगर फ़ुलाँ से बात करे तो तुझ पर तलाक़ अब वह शख़्स मर गया तो तअ्लीक़ बातिल होगई लिहाज़ा अगर किसी वली की करामत से जी गया अब कलाम किया तलाक़ वाक़ेअ् न होगी या कहा अगर तू इस घर में गई तो तुझ पर तलाक़ और वह मकान मुन्हदिम हो कर खेत या बाग़ बन गया तअ्लीक़ जाती रही अगर्चे फिर दोबारा उस जगह मकान बनाया गया हो (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– यह कहा गया अगर तू इस गिलास में का पानी पियेगी तो तुझ पर तलाक़ है और अगर गिलास में उस वक़्त पानी न था तो तअ्लीक़ बातिल है और अगर पानी उस वक़्त मौजूद था फिर अगर गिरा दिया गया तो तअ्ली सहीह है।

मसअ्ला :– ज़ौजा कनीज़ है उस से कहा अगर तू इस घर में गई तो तुझ पर तीन तलाक़ें फिर उस के मालिक ने उसे आज़ाद कर दिया अब घर में गई तो दो तलाक़ें पड़ीं और शौहर को रजअ़त का हक़ हासिल है कि बवक़्ते तअ्लीक़ तीन तलाक़ की उस में सलाहियत न थी लिहाज़ा दो ही की तअ्लीक़ होगी और अब कि आज़ाद हो गई तीन की सलाहियत उस में है मगर उस तअ्लीक़ के सबब दो ही वाक़ेअ् होंगी कि एक तलाक़ का इख़्तियार शौहर को अब जदीद हासिल हुआ(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– हुरूफ़ शर्त उर्दू ज़बान में यह है अगर, जब, जिस वक़्त, हर, वक़्त, जो, हर, जिस, जब कभी, हर बार।

हमे बड़ी मुसर्रत हो रही है कि अल्लाह त'आला और उसके हबीब सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम के हुक्म फ़ज़्ल-ओ-करम से और बुज़ुर्गाने दीन सिलसिला-ए-क़ादिरिया बिलख़ुसूस पिराने पीर दस्तगीर हुज़ूर ग़ौस-ए-आज़म शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रादिअल्लाहु त'आला अन्हू के फ़ैज़ से क़िताब बहार-ए-शरीअत (हिस्सा 01 से 10) हिंदी में पीडीएफ [PDF] में आप की खिदमत में पेश की जा रही है।

ज़माना-ए- क़दीम से अवमुन्नास की इस्लाहे हाल और हिदायते उख़रवी व दुनयवी के लिए हक़ सदाक़त के जाम की फ़राहमी की जाती रही हैं और ये इलतेज़ाम ख़ालिक़-ए-क़ायनात जल्ला जलालहु ने ब अहसान अपनी मख़लूक़ के लिए फ़रमाया है। अम्बिया व मुर्सलीन के बेहतरीन दौर के बाद उसने यह ख़िदमत अपने मुक़र्रबीन रिज़वानुल्लाह त'आला अलैहिम अजमईन के सुपुर्द की और यह सिलसिला अला हालही जारी व सारि है।

मज़हब-ए-इस्लाम अल्लाह त'आला का पसंदीदा दीन है। ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नही जिसके लिए इस्लाम ने हमे क़ानून न दिया हो।

आज जिस दौर से हम गुज़र रहे है हमारा मुस्लिम तबका उर्दू की तरफ ध्यान नही दे रहा है और नई नस्ल तो बिल्कुल ही उर्दू से नावाक़िफ़ होती जा रही है। नतीजे के तौर पर दीनी और मज़हबी दिलचस्पियाँ कम हो रही है और हम अपने हाल को ग़ैर मुंज़बित तरीके पे छोड़े रहते है।

लिहाज़ा ये किताब हिंदी में लिखी गई है और आप सब की आसानी के लिए हम ने इस किताब को पीडीएफ फ़ाइल में आप की ख़िदमत में पेश किया है।
आप सब से हमारी गुज़ारिश है कि अपनी मसरूफ ज़िन्दगी में से रोज़ाना वक़्त निकाल कर बुज़ुर्गो की तस्नीफ़ करदा किताबो को मुताला में रखें, इंशा अल्लाह त'आला दीन और दुनिया दोनो में मक़बूल होंगे।

दुआओं के तलबगार

वसीम अहमद रज़ा खान और साथी
+91-8109613336

मसअ्ला :– एक मरतबा शर्त पाई जाने से तअ्लीक़ ख़त्म हो जाती है यानी दोबारा शर्त पाई जाने से तलाक़ न होगी मसलन औरत से कहा अगर तू फ़लाँ के घर में गई या तूने फ़लाँ से बात की तो तुझ पर तलाक़ है औरत उस के घर गई तो तलाक़ होगई दोबारा फिर गई तो अब वाक़ेअ् न होगी कि अब तअ्लीक़ का हुक्म नहीं मगर जब कभी या जब जब या हर बार के लफ़्ज़ से तअ्लीक़ की है तो एक दो बार पर तअ्लीक़ ख़त्म न होगी बल्कि तीन बार में तीन तलाक़ें वाक़ेअ् होंगी कि यह कुल्लमा का तर्जमा है और यह लफ़्ज़ उ़मूमे अफ़आल के वास्ते आता है मसलन औरत से कहा जब कभी तू फ़लाँ के घर जाये या फ़ुलाँ से बात करे तो तुझ को तलाक़ है तो अगर उसके घर तीन बार गई तीन तलाक़ें हो गईं अब तअ्लीक़ का हुक्म ख़त्म हो गया यानी अगर वह औरत बाद हलाला फिर उस के निकाह में आई अब फिर उस के घर गई तो तलाक़ वाक़ेअ् न होगी हाँ अगर यूँ कहा है कि जब कभी मैं उस से निकाह करूँ तो उसे तलाक़ है तो तीन पर बस नहीं बल्कि सौ बार भी निकाह करे तो हर बार तलाक़ वाक़ेअ् होगी(आ़म्मए कुतुब)यूँही अगर यह कहा कि जिस जिस शख़्स से तू कलाम करे तुझ को तलाक़ है या हर उस औरत से कि मैं निकाह करूँ उसे तलाक़ है या जिस वक़्त तू यह काम करे तुझ पर तलाक़ है कि यह अल्फ़ाज़ भी उ़मूम के वास्ते हैं लिहाज़ा एक बार में तअ्लीक़ ख़त्म न होगी।

मसअ्ला :– औरत से कहा जब कभी मैं तुझे तलाक़ दूँ तो तुझे तलाक़ है और औरत को एक तलाक़ दी तो दो वाक़ेअ् हुईं एक तलाक़ तो ख़ुद अब उस ने दी और एक उस तअ्लीक़ के सबब और अगर यूँ कहा कि जब कभी तुझे तलाक़ हो तो तुझ को तलाक़ है और एक तलाक़ दी तो तीन हुईं एक तो ख़ुद उस ने दी और एक तअ्लीक़ के सबब और दूसरी तलाक़ वाक़ेअ् होने से तलाक़ होना पाया गया लिहाज़ा एक और पड़ेगी कि यह लफ़्ज़ उ़मूम के लिए है मगर बहर सूरत तीन से मुताजाविज़ नहीं हो सकती (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– शर्त पाई जाने से तअ्लीक़ ख़त्म हो जाती है अगर्चे शर्त उस वक़्त पाई गई कि औरत निकाह से निकल गई हो अल्बत्ता अगर औरत निकाह में न रही तो तलाक़ वाक़ेअ् न होगी मसलन औरत से कहा था अगर तू फ़लाँ के घर जाये तो तुझ को तलाक़ है उस के बाद औरत को तलाक़ देदी और इद्दत गुज़र गई अब औरत उस के घर गई फिर शौहर ने उस से निकाह कर लिया अब फिर गई तो तलाक़ वाक़ेअ् न होगी कि तअ्लीक़ ख़त्म हो चुकी है लिहाज़ा अगर किसी ने यह कहा हो कि अगर तू फ़ुलाँ के घर जाये तो तुझ पर तीन तलाक़ें और चाहता हो कि उस के घर आमद व रफ़्त शुरू हो जाये तो उस का हीला यह है कि औरत को एक तलाक़ देदे फिर इद्दत के बाद औरत उस के घर जाये फिर निकाह करले अब जाया आया करे तलाक़ वाक़ेअ् न होगी मगर उ़मूम के अल्फ़ाज़ इस्तिमाल किए हों तो यह हीला काम नहीं देगा (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– यह कहा कि हर उस औरत से कि मैं निकाह करूँ उसे तलाक़ है तो जितनी औरतों से निकाह करेगा सब को तलाक़ हो जायेगी और अगर एक ही औरत से दोबार निकाह किया तो सिर्फ़ पहली बार तलाक़ पड़ेगी दोबारा नहीं (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– यह कहा जब कभी मैं फ़ुलाँ के घर जाऊँ तो मेरी औरत को तलाक़ है और उस शख़्स की चार औरतें हैं और चार मरतबा उस के घर गया तो हर बार में एक तलाक़ वाक़ेअ् हुई लिहाज़ा अगर औरत को मुअ़य्यन(ख़ास) न किया हो तो अब इख़्तियार है कि चाहे तो सब तलाक़ें एक पर कर दे या एक एक पर और अगर दो शख़्सों से यह कहा जब कभी मैं तुम दोनों के यहाँ खाना खाऊँ तो मेरी औरत को तलाक़ है और एक दिन एक के यहाँ खाना खाया दूसरे दिन दूसरे के यहाँ

तो औरत को तीन तलाकें पड़गई यानी जबकि तीन लुक्मे या ज़्यादा खाया हो (आलमगीरी)
मसअ्ला :– यह कहा कि ज़ब कभी मैं कोई अच्छा कलाम ज़बान से निकालूँ तो तुझ पर तलाक है उस के बाद कहा सुबहानल्लाह, वलहम्दु लिल्लाह, व लाइलाह इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर तो एक तलाक़ वाकेअ् होगी और अगर बग़ैर वाव (و)के सुबहानल्लाह, अलहम्दु लिल्लाह, लाइलाह इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर कहा तो तीन (आलमगीरी)
मसअ्ला :– यह कहा कि जब कभी इस मकान में जाऊँ और फ़ुलाँ से कलाम करूँ तो मेरी औरत को तलाक है उस के बाद उस घर में कई मरतबा गया मगर उस से कलाम न किया तो औरत को तलाक न हुई और अगर जाना कई बार हुआ और कलाम एक बार तो एक तलाक हुई (आलमगीरी)
मसअ्ला :– शौहर ने दरवाज़े की कुन्डी बजाई कि खोल दिया जाये और खोला न गया उस ने कहा अगर आज रात में तू दरवाज़ा न खोले तो तुझ को तलाक है और घर में कोई था ही नहीं कि दरवाज़ा खोलता यूँही रात गुज़र गई तो तलाक न हुई यूँही अगर ज़ेब में रुपया था मगर मिला नहीं उस पर कहा अगर वह रुपया कि तूने मेरी जेब से लिया है वापस न करे तो तुझ को तलाक है फिर देखा तो रुपया जेब ही में था तो तलाक वाकेअ् न हुई (खानिया वग़ैरा)
मसअ्ला :– औरत को हैज़ है और कहा अगर तू हाइज़ हो तो तुझ को तलाक या औरत बीमार है और कहा अगर तू बीमार हो तो तुझ को तलाक तो इस से वह हैज़ या मर्ज़ मुराद है कि ज़माना आइन्दा में हो और अगर उस मौजूद की नियत की तो सहीह है और अगर कहा कि कल अगर तू हाइज़ हो तो तुझ को तलाक और उसे इल्म है कि हैज़ से है तो यही हैज़ मुराद है लिहाज़ा अगर सुब्ह चमकते वक़्त हैज़ रहा तो तलाक हो गई जबकि उस वक़्त तीन दिन पूरे या उस से ज़ाइद हों और अगर उसे इस हैज़ का इल्म नहीं तो जदीद हैज़ मुराद होगा लिहाज़ा तलाक न होगी और अगर खड़े होने, बैठने, सवार होने, मकान में रहने पर तअ्लीक़ की और कहते वक़्त वह बात मौजूद थी तो उस कहने के कुछ बाद तक अगर औरत उसी हालत पर रही तो तलाक होगई और मकान में दाख़िल होने या मकान से निकलने पर तअ्लीक़ की तो आइन्दा का जाना और निकलना मुराद है और मारने, खाने से मुराद वह है जो अब कहने के बाद होगा और रोज़ा रखने पर मुअ्ल्लक किया और थोड़ी देर भी रोज़ा की नियत से रही तो तलाक होगई और अगर यह कहा कि एक दिन अगर तू रोज़ा रखे तो उस वक़्त तलाक होगी कि उस दिन का अफ़ताब डूब जाये (आलमगीरी)
मसअ्ला :– यह कहा अगर तुझे हैज़ आये तो तलाक है तो औरत को ख़ून आते ही तलाक का हुक्म न देंगे जब तक तीन दिन रात तक मुस्तमिर (गुज़र जायें) न हो और जब यह मुद्दत पूरी होगी तो उसी वक़्त से तलाक का हुक्म देंगे जब से ख़ून देखा है और यह तलाक बिदई होगी कि हैज़ में वाकेअ् हुई और यह कहा कि अगर तुझे पूरा हैज़ आये या आधा या तिहाई या चौथाई तो इन सब सूरतों में हैज़ ख़त्म होने पर तलाक होगी फिर अगर दस दिन पर हैज़ ख़त्म हो तो ख़त्म होते ही और कम में मुन्कतअ् (ख़त्म) हो तो नहाने या नमाज़ का वक़्त गुज़र जाने पर होगी (दुर्रे मुख़्तार)
मसअ्ला :– हैज़ और एहतिलाम वग़ैरा मख़्फ़ी (छुपी हुई) चीज़ें औरत के कहने पर मान ली जायेंगी मगर दूसरे पर उस का कुछ असर नहीं मसलन औरत से कहा अगर तुझे हैज़ आये तो तुझ को और फ़ुलानी को तलाक है और औरत ने अपना हाइज़ होना बताया तो ख़ुद उस को तलाक हो गई दूसरी को नहीं हाँ अगर शौहर ने उस की तस्दीक की या उस का हाइज़ होना यकीन के साथ मालूम हुआ तो दूसरी को भी तलाक होगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– किसी की दो औरतें हैं दोनों से कहा जब तुम दोनों को हैज़ आये तो दोनों को तलाक़ है दोनों ने कहा हमें हैज़ आया और शौहर ने दोनों की तस्दीक़ की तो दोनों मुतल्लक़ा हो गईं और दोनों की तकज़ीब की तो किसी को नहीं और एक की तस्दीक़ की और एक की तकज़ीब तो जिस की तस्दीक़ की है उसे तलाक़ हुई और जिस की तकज़ीब की उस को नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– यह कहा कि तू लड़का जने तो एक तलाक़ और लड़की जने तो दो और लड़का लड़की दोनों पैदा हुए तो जो पहले पैदा हुआ उसी के ब मोजिब (मुताबिक़) तलाक़ वाक़ेअ् होगी और मालूम न हो कि पहले क्या पैदा हुआ तो क़ाज़ी एक तलाक़ का हुक्म देगा और एहतियात यह है कि शौहर दो तलाक़ें समझे और इद्दत भी दूसरे बच्चा पैदा होने से पूरी हो गई लिहाज़ा अब रजअ़त भी नहीं कर सकता और दोनों एक साथ पैदा हों तो तीन तलाक़ें होंगी और इद्दत हैज़ से पूरी करे और खुन्सा पैदा हो तो एक अभी वाक़ेअ् मानी जायेगी और दूसरी का हुकम उस वक़्त तक मौक़ूफ़ (रुका) रहेगा जब तक उस का हाल न खुले और अगर लड़का और दो लड़कियाँ हुए तो क़ाज़ी दो का हुक्म देगा और एहतियात यह है कि तीन समझे और अगर दो लड़के और एक लड़की हुई तो क़ाज़ी एक का हुक्म देगा और एहतियातन तीन समझे (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– यह कहा कि जो कुछ तेरे शिकम में है अगर लड़का है तो तुझ को एक तलाक़ और लड़की है तो दो और लड़का लड़की दोनों पैदा हुए तो कुछ नहीं यूहीं अगर कहा कि बोरी में जो कुछ है अगर गेहूँ हैं तो तुझे तलाक़ या आटा है तो तुझे तलाक़ और बोरी में गेहूँ और आटा दोनों हैं तो कुछ नहीं और यूँ कहा कि अगर तेरे पेट में लड़का है तो एक तलाक़ और लड़की तो दो और दोनों हुईं तो तीन तलाक़ें हुए (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औरत से कहा अगर तेरे बच्चा पैदा हो तो तुझ को तलाक़ अब औरत कहती है मेरे बच्चा पैदा हुआ और शौहर तकज़ीब (झुटलाना) करता है और हमल ज़ाहिर न था न शौहर ने हमल का इक़रार किया था तो सिर्फ़ जनाई की शहादत पर हुक्मे तलाक़ न देंगे (आलमगीरी)

मसअ्ला :– यह कहा कि अगर तू बच्चा जने तो तलाक़ है और मुर्दा बच्चा पैदा हुआ तलाक़ होगई और कच्चा बच्चा जनी और बाज़ अअ्ज़ा बन चुके थे जब भी तलाक़ होगई वरना नहीं (जौहरा वग़ैरहा)

मसअ्ला :– औरत से कहा अगर तू बच्चा जने तो तुझ को तलाक़ फिर कहा अगर तू उसे लड़का जने तो दो तलाक़ें और लड़का हुआ तो तीन वाक़ेअ् हो गईं (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– और अगर यूँ कहा कि तू अगर बच्चा जने तो तुझ को दो तलाक़ें फिर कहा वह बच्चा कि तेरे शिकम में है लड़का हो तो तुझ को तलाक़ और लड़का हुआ तो एक ही तलाक़ होगी और बच्चा पैदा होते ही इद्दत भी गुज़र जायेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– हमल पर तलाक़ मुअ़ल्लक़ की हो तो मुस्तहब यह है कि इस्तिबरा यानी हैज़ के बाद वती करे कि शायद हमल हो (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर दो शर्तों पर तलाक़ मुअ़ल्लक़ की मसलन जब ज़ैद आये और जब अम्र आये या जब ज़ैद व अम्र आयें तो तुझ को तलाक़ है तो तलाक़ उस वक़्त वाक़ेअ् होगी कि पिछली शर्त उस की मिल्क में पाई जाये अगर्चे पहली उस वक़्त पाई गई कि औरत मिल्क में न थी मसलन उसे तलाक़ देदी थी और इद्दत गुज़र चुकी थी अब ज़ैद आया फिर उस से निकाह किया अब अम्र आया तो तलाक़ वाक़ेअ् हो गई और दूसरी शर्त मिल्क में न हो तो पहली अगर्चे मिल्क में पाई गई तलाक़ न हुई (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– वती पर तीन तलाक़ें मुअ़ल्लक़ की थीं तो हशफ़ा दाख़िल होने से तलाक़ हो जायेगी और वाजिब है कि फ़ौरन जुदा हो जाये (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अपनी औ़रत से कहा जब तक तू मेरे निकाह में है अगर मैं किसी औ़रत से निकाह करूँ तो उसे त़लाक़ फिर औ़रत को त़लाक़ बाइन दी और इद्दत के अन्दर दूसरी औ़रत से निकाह किया तो त़लाक़ न हुई और रजई की इद्दत में थी तो हो गई (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– किसी की तीन औ़रतें हैं एक से कहा अगर मैं तुझे त़लाक़ दूँ तो उन दोनों को भी त़लाक़ है फिर दूसरी और तीसरी से भी यूँही कहा फिर पहली को एक त़लाक़ दी तो उन दोनों को भी एक एक हुई और अगर दूसरी को एक त़लाक़ दी तो पहली को एक हुई और दूसरी और तीसरी पर दो दो और अगर तीसरी औ़रत को एक त़लाक़ दी तो उस पर तीन हुईं और दूसरी पर दो और पहली पर एक (आलमगीरी)

मसअ्ला :– यह कहा कि अगर उस शब में तू मेरे पास न आई तो तुझे त़लाक़ औ़रत दरवाज़ा तक आई अन्दर न गई त़लाक़ हो गई और अगर अन्दर गई मगर शौहर सो रहा था तो न हुई और पास आने में शर्त़ है कि इतनी क़रीब आजाये कि शौहर हाथ बढ़ाये तो औ़रत तक पहुँच जाये मर्द ने औ़रत को बुलाया उस ने इन्कार किया उस पर कहा अगर तू न आई तो तुझ को त़लाक़ है फिर शौहर ख़ुद ज़बर दस्ती उसे ले आया त़लाक़ न हुई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– कोई शख़्स मकान में है लोग उसे निकलने नहीं देते उस ने कहा अगर मैं यहाँ सोऊँ तो मेरी औ़रत को त़लाक़ है उसका मक़सद ख़ास वह जगह है जहाँ बैठा या खड़ा है फिर उसी मकान में सोया मगर उस जगह से हट कर तो क़ज़ाअ्न त़लाक़ हो जायेगी दियानतन नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औ़रत से कहा अगर तू अपने भाई से मेरी शिकायत करेगी तो तुझको त़लाक़ है उस का भाई आया औ़रत ने किसी बच्चे को मुख़ात़ब कर के कहा मेरे शौहर ने ऐसा किया ऐसा किया और उसका भाई सब सुन रहा है त़लाक़ न होगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– आपस में झगड़ रहे थे मर्द ने कहा अगर तू चुप न रहेगी तो तुझ को त़लाक़ है औ़रत ने कहा नहीं चुप होंगी इस के बाद ख़ामोश हो गई त़लाक़ न हुई यूँही अगर कहा कि तू चीख़ेगी तो तुझ को त़लाक़ है औ़रत ने कहा चीख़ूँगी तो मगर फिर चुप हो गई त़लाक़ न हुई यूँही अगर कहा कि फ़लाँ का ज़िक्र करेगी तो ऐसा है औ़रत ने कहा मैं उस का ज़िक्र न करूँगी या कहा जब तू मनअ् करता है तो उस का ज़िक्र न करूँगी त़लाक़ न होगी कि इतनी बात मुस्तस्ना है(आलमगीरी)

मसअ्ला :– औ़रत ने फ़ाक़ा कशी की शिकायत की शौहर ने कहा अगर मेरे घर तू भूकी रहे तो तुझे त़लाक़ है तो अ़लावा सेज़े के भूकी रहने पर त़लाक़ होगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर तू फ़ुलाँ के घर जाये तो तुझ को त़लाक़ है और वह शख़्स मर गया और मकान तरका में छोड़ा अब वहाँ जाने से त़लाक़ न होगी यूहीं अगर बैअ् (बेचने) या हिबा (देदेना) या किसी और वजह से उसकी मिल्क में मकान न रहा जब भी त़लाक़ न होगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औ़रत से कहा अगर तू बग़ैर मेरी इजाज़त के घर से निकली तो तुझ पर त़लाक़ फिर साइल ने दरवाज़े पर सवाल किया शौहर ने औ़रत से कहा उसे रोटी का टुकड़ा दे आ अगर साइल दरवाज़ा से इतने फ़ासिले पर है कि बग़ैर बाहर निकले नहीं दे सकती तो बाहर निकलने से त़लाक़ न होगी और अगर बग़ैर बाहर निकले दे सकती थी मगर निकली तो त़लाक़ हो गई और अगर जिस वक़्त शौहर ने औ़रत को भेजा था उस वक़्त साइल दरवाज़ा से क़रीब था और जब औ़रत वहाँ ले कर पहुँची तो हट गया था कि औ़रत को निकल कर देना पड़ा जब भी त़लाक़ होगई **और अगर** अ़रबी में इजाज़त दी और औ़रत अ़रबी न जानती हो तो इजाज़त न हुई लिहाज़ा अगर

निकलेगी तलाक़ हो जायेगी यूहीं सोती थी या मौजूद न थी या उस ने सुना नहीं तो यह इजाज़त नाकाफ़ी है यहाँ तक कि शौहर ने अगर लोगों के सामने कहा कि मैंने उसे निकलने की इजाज़त दी मगर यह न कहा कि उस से कहदो या ख़बर पहुँचा दो और लोगों ने बतौर खुद औरत से जाकर कहा कि उस ने इजाज़त देदी और उन के कहने से औरत निकली तलाक़ हो गई अगर औरत ने मैके जाने की इजाज़त माँगी शौहर ने इजाज़त दी मगर औरत उस वक़्त न गई किसी और वक़्त गई तो तलाक़ हो गई (आलमगीरी)

मसअला :– इस बच्चे को अगर घर से बाहर निकलने दिया तो तुझ को तलाक़ है औरत ग़ाफ़िल हो गयी या नमाज़ पढ़ने लगी और बच्चा निकल भागा तो तलाक़ न होगी **अगर तू** इस घर के दरवाज़े से निकली तो तुझ पर तलाक़ औरत छत पर से पड़ोस के मकान में गई तलाक़ न हुई (आलमगीरी)

मसअला :– तुझ पर तलाक़ है या मैं मर्द नहीं, तो तलाक़ होगई और अगर कहा तुझ पर तलाक़ है या मैं मर्द हूँ तो न हुई (ख़ानिया)

मसअला :– अपनी औरत से कहा अगर तू मेरी औरत है तो तुझे तीन तलाक़ें और उस के मुत्तसिल (मिलकर) ही अगर एक तलाक़ बाइन देदी तो यही एक पड़ेगी वरना तीन (ख़ानिया)

इस्तिसना का बयान

(इस्तिसना :– किसी आम हुक्म से किसी शख़्स या चीज़ को अलग करना) इस्तिसना के लिए शर्त यह है कि कलाम के साथ मुत्तसिल हो यानी बिला वजह न सुकूत किया हो न कोई बेकार बात दरमियान में कही हो और यह भी शर्त है कि इतनी आवाज़ से कहे कि अगर शोर व गुल वग़ैरा कोई मानेअ् (रुकावट)न हो तो खुद सुन सके बहरे का इस्तिसना सहीह है।

मसअला :– औरत ने तलाक़ के अल्फ़ाज़ सुने मगर इस्तिसना (ऐसा लफ़्ज़ तो तलाक़ के हुक्म से अलग करता हो) न सुना तो जिस तरह मुमकिन हो शौहर से अलाहिदा हो जाये उसे जिमाअ् न करने दे (ख़ानिया)

मसअला :– साँस या छींक या खाँसी या डकार या जमाही या ज़बान की गिरानी की वजह से या उस वजह से कि किसी ने उस का मुँह बन्द कर दिया अगर वक़्फ़ा हुआ तो इत्तिसाल (मिलने) के मनाफ़ी नहीं यूहीं अगर दरमियान में कोई मुफ़ीद बात कही तो इत्तिसाल के मनाफ़ी (ख़िलाफ़)नहीं मसलन ताकीद की नियत से लफ़्ज़ तलाक़ दो बार कह कर इस्तिसना का लफ़्ज़ बोला(दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– दरमियान में कोई ग़ैर मुफ़ीद बात कही फिर इस्तिसना किया तो सहीह नहीं मसलन तुझ को तलाक़ रजई है इन्शाअल्लाह तो तलाक़ हो गई और अगर कहा तुझ को तलाक़ बाइन है इन्शाअल्लाह तो वाक़ेअ् न हुई (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– लफ़्ज़ इन्शाअल्लाह अगर्चे बज़ाहिर शर्त मालूम होता है मगर उस का शुमार इस्तिसना में है मगर उन्हीं चीज़ों में जिन का वुजूद बोलने पर मौक़ूफ़ है मसलन तलाक़ व हल्फ़ वग़ैरहुमा और जिन चीज़ों को तलफ़्फ़ुज़ से ख़ुसूसियत नहीं वहाँ इस्तिसना के मअ्ना नहीं मसलन यह कहा नवयतु अन असूमा ग़दन इन्शाअल्लाहु तआला कि यहाँ न इस्तिसना है न नियत रोज़ा पर उसका असर बल्कि यह लफ़्ज़ ऐसे मक़ाम पर बरकत व तलबे तौफ़ीक़ के लिए होता है (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– औरत से कहा तुझ को तलाक़ है इन्शाअल्लाहु तआला तलाक़ वाक़ेअ् न हुई अगर्चे इन्शाअल्लाह कहने से पहले मर गई और अगर शौहर इतना लफ़्ज़ कह कर कि तुझ को तलाक़ है

मर गया। इन्शाअल्लाह कहने की नोबत न आई मगर उस का इरादा उस के कहने का भी था तो तलाक़ होगई रहा यह कि क्योंकर मालूम हुआ कि उस का इरादा ऐसा था यह यूँ मालूम हुआ कि पहले से उस ने कह दिया था कि मैं अपनी औरत को तलाक़ दे कर इस्तिसना करूँगा (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– इस्तिसना में यह शर्त नहीं कि बिलक़स्द कहा हो बल्कि बिला क़स्द ज़बान से निकल गया जब भी तलाक़ वाक़ेअ् न होगी बल्कि अगर उस के मअ्ना भी ना जानता हो जब भी वाक़ेअ् न होगी और यह भी शर्त नहीं कि लफ़्ज़ तलाक़ व इस्तिसना दोनों बोले बल्कि अगर ज़बान से तलाक़ का लफ़्ज़ कहा और फ़ौरन लफ़्ज़ इन्शाअल्लाह लिख दिया या तलाक़ लिखी और ज़बान से इन्शाअल्लाह कह दिया जब भी तलाक़ वाक़ेअ् न हुई या दोनों को लिखा फिर इस्तिसना मिटा दिया तलाक़ वाक़ेअ् न हुई (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– दो शख़्सों ने शहादत दी कि तूने इन्शाअल्लाह कहा था मगर उसे याद नहीं तो अगर उस वक़्त गुस्सा ज़्यादा था और लड़ाई झगड़े की वजह से यह एहतिमाल है कि बवजह मशग़ूली याद न होगा तो उन की बात पर अमल कर सकता है और अगर इतनी मशग़ूली न थी कि भूल जाता तो उन का क़ौल न माने (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– तुझ को तलाक़ है मगर यह कि ख़ुदा चाहे, या अगर ख़ुदा न चाहे, या जो अल्लाह चाहे, या जब ख़ुदा चाहे, या मगर जो ख़ुदा चाहे, या जब तक ख़ुदा न चाहे, या अल्लाह की मशीयत या इरादा, या रज़ा के साथ या अल्लाह की मशीयत या इरादा या उस की रज़ा, या हुक्म, या इज़्न, या अम्र में तो तलाक़ वाक़ेअ् न होगी और अगर यूँ कहा कि अल्लाह के अम्र, या हुक्म, या इज़्न या इल्म, या क़ज़ा या क़ुदरत से या अल्लाह के इल्म या उस की मशीयत या इरादा या हुक्म वग़ैरहा के सबब तो होजायेगी।(आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ऐसे की मशीयत पर तलाक़ मुअ़ल्लक़ की जिस की मशीयत का हाल मालूम न हो सके या उस के लिए मशीयत ही न हो तो तलाक़ न होगी जैसे जिन व मलाइका और दीवार और गधा वग़ैरहा यूँही अगर कहा कि अगर ख़ुदा चाहे और फ़ुलाँ(इस तरह कहना नाजाइज़ है कि मशियते ख़ुदा के साथ बन्दे की मशियते को जमा किया) तो तलाक़ न होगी अगर्चे फ़ुलाँ का चाहना मालूम हो यूँही अगर किसी से कहा तू मेरी औरत को तलाक़ दे दे अगर अल्लाह चाहे और तू या जो अल्लाह चाहे और तू और उस ने तलाक़ देदी वाक़ेअ् न हुई (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औरत से कहा तुझ को तलाक़ है अगर अल्लाह मेरी मदद करे या अल्लाह की मदद से और नियत इस्तिसना की है तो दियानतन तलाक़ न हुई (आलमगीरी).

मसअ्ला :– तुझ को तलाक़ है अगर फ़ुलाँ चाहे या इरादा करे या पसन्द करे या ख़्वाहिश करे या **मगर यह** कि फ़ुलाँ उस के ग़ैर का इरादा करे या पसन्द करे या ख़्वाहिश करे या चाहे या मुनासिब जाने तो यह तमलीक है लिहाज़ा जिस मज्लिस में उस शख़्स को इल्म हुआ अगर उस ने तलाक़ चाही तो हुई वरना नहीं यानी अपनी ज़बान से अगर तलाक़ चाहना ज़ाहिर किया होगई अगर्चे दिल में न चाहता हो (आलमगीरी)

मसअ्ला :– तुझ को तलाक़ अगर तेरा महर न होता या तेरी शराफ़त न होती या तेरा बाप न होता या तेरा हुस्न व जमाल न होता या अगर मैं तुझ से महब्बत न करता होता इन सब सूरतों में तलाक़ न होगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर इन्शाअल्लाह को मुक़द्दम किया यानी यूँ कहा इन्शाअल्लाह तुझ को तलाक़ है जब भी तलाक़ न होगी और अगर यूँ कहा कि तुझ को तलाक़ है इन्शाअल्ला अगर तू घर में गई तो

मकान में जाने से तलाक़ न होगी अगर इन्शाअल्लाह दो जुमले तलाक़ के दरमियान में हो मसलन कहा तुझ को तलाक़ है इन्शाअल्लाह तुझ को तलाक़ है तो इस्तिसना पहले की तरफ़ रुजूअ करेगा लिहाज़ा दूसरे से तलाक़ होजायेगी यूँ अगर कहा तुझ को तलाकें हैं इन्शाअल्लाह तुझ पर तलाक़ है तो एक वाक़ेअ् होगी (बहर दुर्रे मुख़्तार ख़ानिया)

मसअ्ला :– अगर कहा तुझ पर एक तलाक़ है अगर ख़ुदा चाहे और तुझ पर दो तलाकें अगर ख़ुदा न चाहे तो एक भी वाक़ेअ् न होगी और अगर कहा तुझ पर आज एक तलाक़ है अगर ख़ुदा चाहे और अगर ख़ुदा न चाहे तो दो और आज का दिन गुज़र गया और औरत को तलाक़ न दी तो दो वाक़ेअ् हुई और अगर उस दिन एक तलाक़ देदी तो यही एक वाक़ेअ् होगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर तीन तलाकें देकर उन में से एक या दो का इस्तिसना करे तो यह इस्तिसना सहीह है यानी इस्तिसना के बाद जो बाक़ी है वाक़ेअ् होंगी मसलन कहा तुझ को तीन तलाकें हैं मगर एक तो दो होंगी और अगर कहा मगर दो तो एक होगी और कुल का इस्तिसना सहीह नहीं ख़्वाह उसी लफ़्ज़ से हो मसलन तुझ पर तीन तलाकें मगर तीन या ऐसे लफ़्ज़ से हो जिस के मअ्ना कुल के मसावी (बराबर) हों मसलन कहा तुझ पर तीन तलाकें हैं मगर एक और एक और एक या मगर दो और एक तो उन सूरतों में तीनों वाक़ेअ् होंगी या उस की कई औरतें हैं सब को मुख़ातब कर के कहा तुम सब को तलाक़ है मगर फ़ुलानी और फ़ुलानी और फ़ुलानी नाम लेकर सब का इस्तिसना कर दिया तो सब मुतल्लक़ा हो जायेंगी और अगर बाएअ्तिबार मअ्ना के वह लफ़्ज़ मसावी न हो अगर्चे उस ख़ास सूरत में मसावी हो तो इस्तिसना सहीह है मसलन कहा मेरी हर औरत पर तलाक़ मगर फ़ुलानी पर तो तलाक़ न होगी अगर्चे उसकी यही दो औरतें हों(दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– तुझ को तलाक़ है, तुझ को तलाक़ है, तुझ को तलाक़ है, मगर एक, या कहा तुझ को तलाक़ है एक और एक और एक मगर एक तो उन दोनों सूरतों में तीन पड़ेंगी कि हर एक मुस्तक़िल कलाम है और हर एक से इस्तिसना का तअ़ल्लुक़ हो सकता है और इस्तिसना चूँकि हर एक का मसावी(बराबर)है लिहाज़ा सहीह नहीं। (बहर)

मसअ्ला :– अगर तीन से ज़ाइद तलाक़ देकर उन में से कम का इस्तिसना किया तो सहीह है और इस्तिसना के बाद जो बाक़ी है वाक़ेअ् होंगी मसलन कहा तुझ पर दस तलाकें हैं मगर नौ तो एक होगी और आठ का इस्तिसना किया तो दो होंगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– इस्तिसना अगर अस्ल पर ज़्यादा हो तो बातिल है मसलन तुझ पर तीन तलाकें मगर चार, पाँच तो तीन वाक़ेअ् होंगी यूँही जुज़ वे तलाक़ का इस्तिसना भी बातिल है मसलन कहा तुझ पर तीन तलाकें मगर निस्फ़ तो तीन वाक़ेअ् होंगी और तीन में से डेढ़ का इस्तिसना किया तो दो वाक़ेअ् होंगी (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– अगर कहा तुझ को तलाक़ है मगर एक तो दो वाक़ेअ् होंगी कि एक से एक का इस्तिसना तो हो नहीं सकता लिहाज़ा तलाक़ से तीन तलाकें मुराद हैं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– चन्द इस्तिसना जमअ् किए तो उस की दो सूरतें हैं उन के दरमियान और का लफ़्ज़ है तो हर एक उसी अव्वल कलाम से इस्तिसना है मसलन तुझ पर दस तलाकें हैं मगर पाँच और मगर तीन और मगर एक तो एक होगी और अगर दरमियान में और का लफ़्ज़ नहीं तो एक एक अपने मा क़ब्ल से इस्तिसना है मसलन तुझ पर दस तलाकें मगर नौ मगर आठ मगर सात तो दो होंगी (दुर्रे मुख़्तार)

तलाके मरीज़ का बयान

अमीरुल मोमिनीन फ़रूके आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि फ़रमाया अगर मरीज़ तलाक़ दे तो औरत जब तक इद्दत में है शौहर की वारिस है और शौहर उस का वारिस नहीं फ़त्हुलक़दीर वग़ैरा में है कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ़ रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी ज़ौजा को मर्ज़ में तलाके बाइन दी और इद्दत में उन की वफ़ात हो गई तो हज़रत उसमान ग़नी रदिसल्लाहु तआला अन्हु ने उन की ज़ौजा को मीरास दिलाई और यह वाक़िआ मजमअ् सहाबा–ए–किराम के सामने हुआ और किसी ने इन्कार न किया लिहाज़ा इस पर इजमाअ् (उलमा ज़माना किसी मसअ्ले पर एक राय हो जायें उसे इमजाअ् कहते हैं)हो गया।

मसअ्ला :– मरीज़ से मुराद वह शख़्स है जिस की निस्बत ग़ालिब गुमान हो कि उस मर्ज़ से हलाक हो जायेगा कि मर्ज़ ने उसे इतना लाग़र कर दिया है कि घर से बाहर के काम के लिए नहीं जा सकता मसलन नमाज़ के लिए मस्जिद को न जा सकता हो या ताजिर अपनी दुकान तक न जा सकता हो और यह अकसर के लिहाज़ से है वरना अस्ल हुक्म यह है कि उस मर्ज़ में ग़ालिब गुमान मौत हो अगर्चे इबतिदाअन जबकि शिद्दत न हुई हो बाहर जासकता हो मसलन हैज़ा वग़ैरहा अमराज़े मुहलिका (हलाक करने वाली बिमारियों)में बाज़ लोग घर से बाहर के भी काम कर लेते हैं मगर ऐसे अमराज़ में ग़ालिब गुमान हलाक होने का है यूँही यहाँ मरीज़ के लिए साहिबे फ़राश होना भी ज़रूरी नहीं और अमराज़ मुज़मिना मसलन सिल, फ़ालिज अगर रोज़ बरोज़ ज़्यादती पर हों तो यह भी मर्जुल मौत हैं और अगर एक हालत पर क़ाइम हो गये और पुराने हो गये यानी एक साल का ज़माना गुज़र गया तो अब उस शख़्स के तसर्रुफ़ात तन्दुरुस्त की मिस्ल नाफ़िज़ होंगे(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मरीज़ ने औरत को तलाक़ दी तो उसे फ़ार बित्तलाक़ कहते हैं कि वह ज़ौजा को तरका से महरुम करना चाहता है और उस के अहकाम आगे आते हैं।

मसअ्ला :– जो शख़्स लड़ाई में दुश्मन से लड़ रहा हो वह भी मरीज़ के हुक्म में है अगर्चे मरीज़ नहीं कि ग़ालिब ख़ौफ़े हलाक है यूँही जो शख़्स क़िसास में क़त्ल के लिए या फ़ाँसी देने के लिए संगसार करने के लिए लाया गया या शेर वग़ैरा किसी दरिन्दा ने उसे पछाड़ा या कश्ती में सवार है और कश्ती मौज के तलातुम में पड़ गई या कश्ती टूट गई और यह उस के किसी तख़्ता पर बहता हुआ जा रहा है तो यह सब मरीज़ के हुक्म में हैं जबकि उसी सबब से मर भी जायें और अगर वह सबब जाता रहा फिर किसी और वजह से मर गये तो मरीज़ नहीं और अगर शेर के मुँह से छूट गया मगर ज़ख़्म ऐसा कारी लगा है कि ग़ालिब गुमान यही है कि उस से मर जायेगा तो अब भी मरीज़ है (फ़त्ह, दुर्रे मुख़्तार वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– मरीज़ ने तबर्रुअ् किया मसलन अपनी जाइदाद वक़्फ़ करदी, या किसी अजनबी को हिबा कर दिया या किसी औरत से महरे मिस्ल से ज़्यादा पर निकाह किया तो सिर्फ़ तिहाई माल में उस का तसर्रुफ़ नाफ़िज़ होगा कि यह अफ़आल वसियत के हुक्म में हैं।

मसअ्ला :– औरत को तलाके रजई दी और इद्दत के अन्दर मरगया तो मुतलक़न औरत वारिस है सेहत में तलाक़ दी हो या मर्ज़ में औरत की रज़ा मन्दी से दी हो या बग़ैर रज़ा यूँहीं अगर औरत किताबिया थी या बान्दी और तलाक़ रजई की इद्दत में मुसलमान हो गई या आज़ाद करदी गई और शौहर मरगया तो मुतलक़न वारिस है अगर्चे शौहर को उस के मुसलमान होने या आज़ाद होने की ख़बर न हो (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर मर्ज़ुलमौत में औरत को बाइन तलाक़ दी हो या ज़्यादा और उसी मर्ज़ में इद्दत के अन्दर मरगया ख़्वाह उसी मर्ज़ से मरा या किसी और सबब से मसलन क़त्ल कर डाला गया तो औरत वारिस है जबकि बाइख़्तियार ख़ुद और औरत की बग़ैर रज़ा मन्दी के तलाक़ दी हो बशर्ते कि बवक़्ते तलाक़ औरत वारिस होने की सलाहियत भी रखती हो अगर्चे शौहर को उस का इल्म न हो मसलन औरत किताबिया थी या कनीज़ और उस वक़्त मुसलमान या आज़ाद हो चुकी थी औरअगर इद्दत गुज़रने के बाद मरा ,या उस मर्ज़ से अच्छा हो गया फिर मरगया ख़्वाह उसी मर्ज़ में फिर मुबतला हो कर मरा या किसी और सबब से या तलाक़ देने पर मजबूर किया गया यानी मार डालने या उज़्व काटने की सहीह धमकी दी गई हो या औरत की रज़ा से तलाक़ दी तो वारिस न होगी और अगर क़ैद की धमकी दी गई और तलाक़ देदी तो औरत वारिस है और अगर औरत तलाक़ पर राज़ी न थी मगर मजबूर की गई कि तलाक़ तलब करे और औरत की तलब पर तलाक़ दी तो वारिस होगी (दुर्रे मुख़्तार, वग़ैरा)

मसअ्ला :– यह हुक्म कि मर्ज़ुल मौत में औरत बाइन की गई और शौहर इद्दत के अन्दर मरजाये तो बशराइते साबिक़ा औरत वारिस होगी तलाक़ के साथ ख़ास नहीं बल्कि जो जुदाई शौहर की जानिब से हो सब का यही हुक्म है। मसलन शौहर ने बख़ियारे बुलूग़ औरत को बाइन किया या औरत की माँ या लड़की का शहवत से बोसा लिया या मआज़ल्लाह मुरतद होगया और जो जुदाई जानिबे ज़ौजा से हो उस में वारिस न होगी मसलन औरत ने शौहर के लड़के का शहवत के साथ बोसा लिया या मुरतद हो गई या ख़ुलअ् कराया यूहीं अगर ग़ैर की जानिब से हो मसलन शौहर के लड़के ने औरत का बोसा लिया अगर्चे औरत को मजबूर किया हो हाँ अगर उस के बाप ने हुक्म दिया हो तो वारिस होगी (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मरीज़ ने औरत को तीन तलाक़ें दी थीं उस के बाद औरत मुरतद्दा हो गई फिर मुसलमान हुई अब शौहर मरा तो वारिस न होगी अगर्चे अभी इद्दत पूरी न हुई हो (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत ने तलाक़े रजई या तलाक़ का सवाल किया था मर्द मरीज़ ने तलाक़े बाइन या तीन तलाक़ें दे दीं और इद्दत में मर गया तो औरत वारिस है **यूहीं** औरत ने बतौर ख़ुद अपने को तीन तलाक़ें दे ली थीं और शौहर मरीज़ ने जाइज़ करदीं तो वारिस होगी **और अगर** शौहर ने औरत को इख़्तियार दिया था औरत ने अपने नफ़्स को इख़्तियार किया या शौहर ने कहा था तू अपने को तीन तलाक़ें देदे औरत ने देदीं तो वारिस न होगी (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला :– मरीज़ ने औरत को तलाक़े बाइन दी थी और औरत इसना–ए–इद्दत(इद्दत के दरमियान) में मर गई तो यह शौहर उस का वारिस न होगा और अगर रजई तलाक़ थी तो वारिस होगा(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़त्ल के लिए लाया गया था मगर फिर क़ैद ख़ाना को वापस कर दिया गया या दुश्मन से मैदाने जंग में लड़ रहा था फिर सफ़ में वापस गया तो यह उस मरीज़ के हुक्म में है कि अच्छा होगया लिहाज़ा इस हालत में तलाक़ दी थी और इद्दत के अन्दर मारा गया तो औरत वारिस न होगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मरीज़ ने तलाक़ दी थी और ख़ुद औरत ने उसे इद्दत के अन्दर क़त्ल कर डाला तो वारिस न होगी कि क़ातिल मक़तूल का वारिस नहीं (आलमगीरील)

मसअ्ला :– औरत मरीज़ा थी और उस ने कोई ऐसा काम किया जिस की वजह से शौहर से **फ़ुर्क़त** होगई मसलन ख़ियारे बुलूग़ व इत्क़ या शौहर के लड़के का बोसा लेना वग़ैरहा फिर मरगई **तो शौहर** उस का वारिस होगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मरीज़ ने औरत को तलाक़े बाइन दी थी और औरत ने शौहर के बेटे का बोसा लिया

या मुतावअ़त की या मर्ज़ की हालत में लिआ़न (लिआ़न का बयान आगे है) किया या मर्ज़ की हालत में ईला (ईला के मअ़ना यह हैं कि शौहर ने यह क़सम खाई कि औ़रत से क़ुर्बत न करेगा या चार महीने क़ुर्बत न करेगा)(क़ादरी)किया और उस की मुद्दत गुज़रगई तो औ़रत वारिस होगी और अगर्चे रजई तलाक़ में इब्ने ज़ौज (शौहर का लड़का) का बोसा इद्दत में लिया तो वारिस न होगी कि अब फ़ुर्क़त जानिबे ज़ौजा से है यूहीं अगर बुलूग़ या इत्क़ या शौहर के नामर्द होने या अ़ज़्वे तनासुल कट जाने की बिना पर औ़रत को इख़्तियार दिया गया और औ़रत ने अपने नफ़्स को इख़्तियार किया तो वारिस न होगी कि फ़ुर्क़त जानिबे ज़ौजा से है और अगर सेहत में ईला किया था और मर्ज़ में मुद्दत पूरी हुई तो वारिस न होगी और अगर औ़रत मरीज़ा से लिआ़न किया और इद्दत के अन्दर मरगई तो शौहर वारिस नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औ़रत मरीज़ा थी और शौहर नामर्द औ़रत को इख़्तियार दिया गया यानी पहले साल भर की शौहर को मीआ़द दी गई मगर उस मुद्दत में शौहर ने जिमाअ़ न किया फिर औ़रत को इख़्तियार दिया गया उस ने अपने नफ़्स को इख़्तियार किया और इद्दत के अन्दर मरगई या शौहर ने दुख़ूल के बाद औ़रत को तलाक़े बाइन दी फिर शौहर का अ़ज़्वे तनासुल कट गया उस के बाद उसी औ़रत से इद्दत के अन्दर निकाह किया अब औ़रत को उस का हाल मालूम हुआ उस ने अपने नफ़्स को इख़्तियार किया और मरीज़ा थी इद्दत के अन्दर मरगई तो उन दोनों सूरतों में शौहर उस का वारिस नहीं (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– दुश्मनों ने क़ैद कर लिया है या सफ़े क़िताल में है मगर लड़ता नहीं है या बुख़ार वग़ैरा किसी बीमारी में मुबतला है जिस में ग़ालिब गुमान हलाकत न हो या वहाँ ताऊ़न फैला हुआ है या कश्ती पर सवार है और डूबने का ख़ौफ़ नहीं या शेरों के बन में है या ऐसी जगह है जहाँ दुश्मनों का ख़ौफ़ है या क़िसास या रजम के लिए क़ैद है तो इन सूरतों में मरीज़ के हुक्म में नहीं तलाक़ देने के बाद इद्दत में मारा जाये या मर जाये तो औ़रत वारिस नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– हमल की हालत में जानिबे ज़ौजा से तफ़रीक़(बीवी की तरफ़ से जुदाई)वाक़ेअ़ हुई और बच्चा पैदा होने में मर गई तो शौहर वारिस न होगा हाँ अगर दर्दे ज़ेह में ऐसा हो तो वारिस होगा कि अब औ़रत फ़ार्रा (औ़रत तफ़रीक़ कर के शौहर को तरके से महरूम करने वाली) है (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– मरीज़ ने तलाक़े बाइन किसी ग़ैर के फ़ेअ़्ल पर मुअ़ल्लक़ की मसलन अगर फ़ुलाँ यह काम करेगा तो मेरी औ़रत को तलाक़ है अगर्चे वह ग़ैर ख़ुद उन्हीं दोनों की औलाद हो **या किसी** वक़्त के आने पर तअ़्लीक़ हो मसलन जब फ़ुलाँ वक़्त आये तो तुझ को तलाक़ है और तअ़्लीक़ और शर्त का पाया जाना दोनों हालते मर्ज़ में हैं या अपने किसी काम करने पर तलाक़ मुअ़ल्लक़ की मसलन अगर मैं यह काम करूँ तो मेरी औ़रत को तलाक़ है और तअ़्लीक़ व शर्त दोनों मर्ज़ में हैं या तअ़्लीक़ सेहत में हो और शर्त का पाया जाना मर्ज़ में **या औ़रत** के किसी काम करने पर मुअ़ल्लक़ की और वह काम ऐसा है जिस का करना शरअ़न या तब्अ़न ज़रूरी है मसलन अगर तू खायेगी, या नमाज़ पढ़ेगी, और तअ़्लीक़ व शर्त दोनों मर्ज़ में हों या सिर्फ़ शर्त तो इन सूरतों में औ़रत वारिस होगी और अगर फ़ेअ़्ले ग़ैर या किसी वक़्त के आने पर मुअ़ल्लक़ की और तअ़्लीक़ व शर्त दोनों या सिर्फ़ तअ़्लीक़ सेहत में हो **या औ़रत** के फ़ेअ़्ल पर मुअ़ल्लक़ किया और वह फ़ेअ़्ल ऐसा नहीं जिस का करना औ़रत के लिए ज़रूरी हो तो इन सूरतों में वारिस नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– सेहत की हालत में औ़रत से कहा अगर मैं और फ़ुलाँ शख़्स चाहें तो तुझ को तीन तलाक़ें हैं फिर शौहर मरीज़ हो गया और दोनों ने एक साथ तलाक़ चाही या पहले शौहर ने चाही फिर उस शख़्स ने तो औ़रत वारिस न होगी और अगर पहले उस शख़्स ने चाही फिर शौहर ने तो

वारिस होगी (खानिया) और अगर मर्ज़ की हालत में कहा था तो बहर सूरत वारिस होगी (रदुल मुहतार)
मसअला :– मरीज़ ने औरत मदखूला को तलाक़ बाइन दी फिर उस से कहा अगर मैं तुझ से निकाह करूँ तो तुझ पर तीन तलाकें और इद्दत के अन्दर निकाह कर लिया तो तलाकें पड़ जायेंगी और अब से नई इद्दत होगी और इद्दत के अन्दर शौहर मर जाये औरत वारिस न होगी (खानिया)
मसअला :– मरीज़ ने अपनी औरत से जो किसी की कनीज़ है यह कहा कि तुझ पर कुल तीन तलाकें और उस के मौला ने कहा तू कल आज़ाद है तो दूसरे दिन की सुबह चमकते ही तलाक़ व आज़ादी दोनों एक साथ होंगी और औरत वारिस न होगी **और अगर** मौला ने पहले कहा था फिर शौहर ने जब भी यही हुक्म है हाँ अगर शौहर ने यूँ कहा कि जब तू आज़ाद हो तो तुझ को तीन तलाकें तो अब वारिस होगी और अगर मौला ने कहा तू कल आज़ाद है और शौहर ने कहा तुझे परसों तलाक़ है अगर शौहर को मौला का कहना मालूम था तो फ़ाररबित्तलाक़ (तलाक़ के ज़रीआ औरत को तर्के से महरूम करना)है वरना नहीं (आलमगीरी)
मसअला :– औरत से कहा जब मैं बीमार हों तो तुझ पर तलाक़ शौहर बीमार हुआ तो तलाक हो गई और इद्दत में मर गया तो औरत वारिस होगी (खानिया)
मसअला :– मुसलमान मरीज़ ने अपनी औरत किताबिया से कहा जब तू मुसलमान हो जाये तो तुझ को तीन तलाकें हैं वह मुसलमान होगई और शौहर इद्दत के अन्दर मरगया तो वारिस न होगी और **अगर कहा** कल तुझ को तीन तलाकें हैं और वह औरत आज ही मुसलमान होगई तो वारिस न होगी और अगर मुसलमान होने के बाद तलाक़ दी तो वारिस होगी अगर्चे शौहर को इल्म न हो (आलमगीरी)
मसअला :– मरीज़ ने अपनी दो औरतों से कहा तुम दोनों अपने को तलाक़ दे लो हर एक ने अपने और सौत को आगे पीछे तलाक़ दी तो पहली ही के तलाक़ देने से दोनों मुतल्लक़ा हो गईं और उस के बाद दूसरी का तलाक़ देना बेकार है और दूसरी वारिस होगी पहली नहीं और अगर पहली ने सिर्फ़ सौत को तलाक़ दी अपने को नहीं या हर एक ने दूसरी को तलाक़ दी अपने को न दी तो दोनों वारिस होंगी और अगर हर एक ने अपने को और सौत को मअ़न (साथ–साथ)दी तो दोनों मुतल्लक़ा हो गईं और वारिस न होंगी और अगर एक ने अपने को तलाक़ दी और दूसरी ने भी उसी को तलाक़ दी तो यही मुतल्लक़ा होगी और यह वारिस न होगी और अगर एक ने सौत को तलाक़ दी फिर उस के बाद दूसरी ने खुद ही को तलाक़ दी तो वारिस होगी। यह सब सूरतें उस वक़्त हैं कि उसी मज्लिस में ऐसा हुआ और अगर मज्लिस बदलने के बाद एक एक ने अपने को और सौत को एक साथ तलाक़ दी या आगे पीछे या एक ने दूसरी को तलाक़ दी बहर हाल दोनों वारिस हैं और हर एक ने अपने को तलाक़ दी तो तलाक़ ही न हुई खुलासा यह है कि जिस सूरत में औरत खुद अपने तलाक़ देने से मुतल्लक़ा हुई हो तो वारिस न होगी वरना होगी (आलमगीरी)
मसअला :– दो औरतें मदखूला हैं शौहर ने सेहत में कहा तुम दोनों में से एक को तीन तलाकें और यह बयान न किया कि किस को फिर जब मरीज़ हुआ तो बयान किया कि वह मुतल्लक़ा फुलाँ औरत है तो यह औरत मीरास से महरूम न होगी और अगर उस शख़्स की उन दो के अलावा कोई और औरत भी है तो उस के लिए निस्फ़ मीरास है और वह औरत जिस का मुतल्लक़ा होना बयान किया गया अगर शौहर से पहले मरगई तो शौहर का बयान सहीह माना जायेगा और दूसरी जो बाक़ी है मीरास लेगी लिहाज़ा अगर कोई तीसरी औरत भी है तो दोनों हक़्क़े ज़ौजियत में बराबर की हक़दार हैं **और अगर** जिस का मुतल्लक़ा होना बयान किया ज़िन्दा है और दूसरी शौहर के पहले

मरगई तो यह निस्फ़ ही की हक़दार है लिहाज़ा अगर कोई और औरत भी है तो उसे तीन रुबअ़ (तीन चौथाई) मिलेंगे और उसे एक रुबअ़ और अगर शौहर के बयान करने और मरने से पहले उन में की एक मरगई तो अब जो बाक़ी है वही मुतल्लक़ा समझी जायेगी और मीरास न पायेगी और अगर एक के मरने बाद शौहर यह कहता है कि मैंने उसी को तलाक़ दी थी तो शौहर उस का वारिस न होगा मगर जो मौजूद है वह मुतल्लक़ा समझी जायेगी और अगर दोनों आगे पीछे मरीं अब यह कहता है कि पहले जो मरी है उसे तलाक़ दी थी तो किसी का वारिस नहीं और अगर दोनों एक साथ मरीं मसलन उन पर दीवार ढ पड़ी या दोनों एक साथ डूब गईं या आगे पीछे मरीं मगर यह नहीं मालूम कि कौन पहले मरी कौन पीछे तो हर एक के माल में जितना शौहर का हिस्सा होता है उस का निस्फ़ निस्फ़ उसे मिलेगा और उस सूरत में कि एक साथ मरीं या मालूम नहीं कि पहले कौन मरी उस ने एक का मुतल्लक़ा होना मुअय्यन किया तो उस के माल में से शौहर को कुछ न मिलेगा और दूसरी के तरका में से निस्फ़ हक़ पायेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– सेहत में किसी को तलाक़ की तफ़्वीज़ की उस ने मर्ज़ की हालत में तलाक़ दी तो अगर उसे तलाक़ का मालिक कर दिया था तो औरत वारिस न होगी और अगर वकील किया था और मअ्ज़ूल करने पर क़ादिर था तो वारिस होगी (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औरत से मर्ज़ में कहा मैंने सेहत में तुझे तलाक़ दे दी थी और तेरी इद्दत भी पूरी हो चुकी औरत ने उस की तस्दीक़ की फिर शौहर ने इक़रार किया कि औरत का मुझ पर इतना दैन है या उस की फ़ुलाँ शय मुझपर है या उस के लिए कुछ माल की वसियत की तो उस इक़रार व मीरास या वसियत व मीरास में जो कम है औरत वह पायेगी और इस बारे में इद्दत वक़्ते इक़रार से शुरू होगी यानी अब से इद्दत पूरी होने तक के दरमियान में शौहर मरा तो यही कम से कम पायेगी और अगर इद्दत गुज़रने पर मरा तो जो कुछ इक़रार किया या वसीयत की कुल पायेगी और अगर सेहत में ऐसा कहा था और औरत ने तस्दीक़ करली या वह मर्ज़ मर्ज़ुलमौत न था यानी वह बीमारी जाती रही तो इक़रार वग़ैरा सहीह है अगर्चे इद्दत में मर गया और अगर औरत ने तकज़ीब की और शौहर उसी मर्ज़ में वक़्ते इक़रार से इद्दत में मर गया तो इक़रार व वसीयत सहीह नहीं और अगर बादे इद्दत मरा या उस मर्ज़ से अच्छा हो गया था और इद्दत में मरा तो औरत वारिस न होगी और इक़रार व वसियत सहीह हैं और अगर मर्ज़ में औरत के कहने से तलाक़ दी फिर इक़रार या वसियत की जब भी वही हुक्म है कि दोनों में जो कम है वह पायेगी (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– औरत ने शौहर मरीज़ पर दअ्वा किया कि उस ने उसे तलाक़े बाइन दी और शौहर इनकार करता है क़ाज़ी ने शौहर को हल्फ़ दिया उस ने कसम ख़ाली फिर औरत ने भी शौहर के मरने से पहले उस की तस्दीक़ की तो वारिस होगी और मरने के बाद तस्दीक़ की तो नहीं। जबकि यह दअ्वा हो कि सेहत में तलाक़ बाइन दी थी (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– शौहर के मरने के बाद औरत कहती है कि उस ने मुझे मर्ज़ुल मौत में बाइन तलाक़ दी थी और मैं इद्दत में थी कि मर गया लिहाज़ा मुझे मीरास मिलनी चाहिए और वुरसा कहते हैं कि सेहत में तलाक़ लिहाज़ा न मिलनी चाहिए तो क़ौल औरत का मोअ्तबर है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत को मर्ज़ुल मौत में तीन तलाक़ें दीं और मर गया औरत कहती है मेरी इद्दत पूरी नहीं हुई तो क़सम के साथ उस का क़ौल मोअ्तबर है अगर्चे ज़माना दराज़ हो गया हो अगर कसम खालेगी वारिस होगी क़सम से इन्कार करेगी तो नहीं और अगर शौहर ने भी कुछ नहीं कहा मगर इतने ज़माने के बाद जिस में इद्दत पूरी हो सकती है उस ने दूसरे से निकाह किया अब कहती है

इद्दत पूरी नहीं हुई तो वारिस न होगी और वह दूसरे ही की औरत है और अगर अभी निकाह नहीं किया है मगर कहती है मैं आइसा हूँ तीन महीने की इद्दत पूरी की और शौहर मर गया अब दूसरे से निकाह किया और औरत के बच्चा हुआ या हैज़ आया तो वारिस होगी और दूसरे से जो निकाह किया है यह निकाह नहीं हुआ (आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी ने कहा पिछली औरत जिस से निकाह करूँ तो उसे तलाक़ है अगर एक से निकाह करने के बाद दूसरी से मर्ज़ में निकाह किया और शौहर मर गया तो उस औरत को निकाह करते ही तलाक़ हो गई और वारिस न होगी। (दुर्रे मुख़्तार)

रजअ़त का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है وَبُعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْا اِصْلَاحًا "मुतल्लक़ाते रजईया के शौहरों को इद्दत में वापस कर लेने का हक़ है अगर इसलाह मक़सूद हो" **और फ़रमाता है।** وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْف "जब औरतों को तलाक़ दो उन की इद्दत पूरी होने के करीब पहुँच जायें तो उन को खूबी के साथ रोक सकते हो।"

हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा ने अपनी ज़ौजा को तलाक़ दी थी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को जब उसकी ख़बर पहुँची तो हज़रते उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से इरशाद फ़रमाया कि उन को हुक्म करो कि रजअ़त करलें।

मसअ्ला :– रजअ़त के यह मअ़ना हैं कि जिस औरत को रजई तलाक़ दी हो इद्दत के अन्दर उसे उसी पहले निकाह पर बाक़ी रखना।

मसअ्ला :– रजअ़त उसी औरत से हो सकती है जिस से वती की हो अगर ख़लवते सहीहा हुई मगर जिमाअ़ न हुआ तो नहीं हो सकती अगर्चे उसे शहवत के साथ छुआ या शहवत के साथ फ़र्जे दाख़िल की तरफ़ नज़र की हो। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– शौहर दअ़्वा करता है कि यह औरत मेरी मदख़ूला है तो अगर ख़लवत हो चुकी है रजअ़त कर सकता है वरना नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– रजअ़त को किसी शर्त पर मुअ़ल्लक़ किया या आइन्दा ज़माने की तरफ़ मुज़ाफ़ किया मसलन अगर तू घर में गई तो मेरे निकाह में वापस हो जायेगी या कल तू मेरे निकाह में वापस आजायेगी तो यह रजअ़त न हुई और अगर मज़ाक़ या खेल या ग़लती से रजअ़त के अल्फ़ाज़ कहे तो रजअ़त हो गई (बहर)

मसअ्ला :– किसी और ने रजअ़त के अलफ़ाज़ कहे और शौहर ने जाइज़ कर दिया तो होगई।(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– रजअ़त का मसनून तरीक़ा यह है कि किसी लफ़्ज़ से रजअ़त करे और रजअ़त पर दो आ़दिल शख़्सों को गवाह करे और औरत को भी उस की ख़बर कर दे कि इद्दत के बाद किसी और से निकाह न कर ले और अगर कर लिया तो तफ़रीक़ कर दी जाये अगर्चे दुख़ूल कर चुका हो कि यह निकाह न हुआ। और अगर क़ौल से रजअ़त की मगर गवाह न किए या गवाह भी किए मगर औरत को ख़बर न की तो मकरूह ख़िलाफ़े सुन्नत है मगर रजअ़त हो जायेगी और अगर फ़ेअ़्ल से रजअ़त की मसलन उस से वती की या शहवत के साथ बोसा लिया या उस की शर्मगाह की तरफ़ नज़र की तो रजअ़त हो गई मगर मकरूह है उसे चाहिए कि फिर गवाहों के सामने रजअ़त के अल्फ़ाज़ कहे (जौहरा)

मसअला :– शौहर ने रजअत कर ली मगर औरत को खबर न की उस ने इद्दत पूरी कर के किसी से निकाह कर लिया और रजअत साबित हो जाये तो तफ़रीक़ कर दी जायेगी अगर्चे दूसरा दुखूल भी कर चुका हो (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– रजअत के अल्फ़ाज़ यह हैं मैंने तुझ से रजअत की, या अपनी ज़ौजा से रजअत की, या तुझ को वापस लिया, या रोक लिया, यह सब सरीह अल्फ़ाज़ हैं कि इन में बिला नियत भी रजअत हो जायेगी या कहा तू मेरे नज़दीक वैसे ही है जैसे थी या तू मेरी औरत है तो अगर ब नियते रजअत यह अल्फ़ाज़ कहे हो गई वरना नहीं और निकाह के अल्फ़ाज़ से भी रजअत हो जाती है (आलमगीरी वगैरा)

मसअला :– मुतल्लका से कहा तुझ से हज़ार रुपये महर पर मैंने रजअत की अगर औरत ने कबूल किया तो हो गई वरना नहीं (आलमगीरी)

मसअला :– जिस फ़ेअ़्ल से हुरमते मुसाहिरत होती है उस से रजअत होजायेगी मसलन वती करना या शहवत के साथ मुँह या रुख़सार या ठोड़ी या पेशानी या सर का बोसा लेना या बिला हाइल बदन को शहवत के साथ छूना या हाइल हो तो बदन की गरमी महसूस हो या फ़र्जे दाख़िल की तरफ़ शहवत के साथ नज़र करना और अगर यह अफ़आल शहवत के साथ न हों तो रजअत न होगी और शहवत के साथ बिला क़स्दे रजअत हों जब भी रजअत हो जायेगी और बग़ैर शहवत बोसा लेना या छूना मकरूह है जब कि रजअत का इरादा न हो यूहीं उसे बरहना देखना भी मकरुह है(आलमगीरी, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– औरत ने मर्द का बोसा लिया या छूआ ख़्वाह मर्द ने औरत को उस की कुदरत दी थी या ग़फ़लत में या जबरदस्ती औरत ने ऐसा किया या मर्द सो रहा था या बोहरा या मजनून है और औरत ने ऐसा किया जब भी रजअत हो गई जब कि मर्द तस्दीक़ करता हो कि उस वक़्त शहवत थी और अगर मर्द शहवत होने या नफ़्से फ़ेअ़्ल ही से इन्कार करता हो तो रजअत न हुई और मर्द मरगया हो तो उस के वुरसा की तस्दीक़ या इन्कार का एअ़्तिबार है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मजनून की रजअत फ़ेअ़्ल से होगी क़ौल से नहीं और अगर मर्द सो रहा था या मजनून है और औरत ने अपनी शर्मगाह में उस का अज़ू दाख़िल कर लिया तो रजअत हो गई (आलमगीरी)

मसअला :– औरत ने मर्द से कहा मैंने तुझ से रजअत कर ली तो यह रजअत न हुई(आलमगीरी)

मसअला :– महज़ ख़लवत से रजअत न होगी अगर्चे सहीहा हो और पीछे के मकाम में वती करने से भी रजअत हो जायेगी अगर्चे यह हराम और सख़्त हराम है और उस की तरफ़ बशहवत नज़र करने से न होगी (आलमगीरी)

मसअला :– इद्दत में उस से निकाह कर लिया जब भी रजअत होजायेगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– रजअत में औरत की रज़ा की ज़रूरत नहीं बल्कि अगर वह इन्कार भी करे जब भी होजायेगी बल्कि अगर शौहर ने तलाक़ देने के बाद कह दिया हो कि मैंने रजअत बातिल कर दी या मुझे रजअत का इख़्तियार नहीं जब भी रजअत कर सकता है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत का महर मुअज्जल बतलाक़ था (यानी तलाक़ होने के बाद महर का मुतालबा करेगी) ऐसी सूरत में अगर शौहर ने तलाक़ रज़ई दी तो अब मीआद पूरी हो गई औरत इद्दत के अन्दर महर का मुतालबा कर सकती है और रजअत कर लेने से मुतालबा साक़ित न होगा(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– ज़ौज व ज़ौजा (मियाँ बीवी) दोनों कहते हैं कि इद्दत पूरी हो गई मगर रजअत में इख़्तिलाफ़ है एक कहता है कि रजअत हुई और दूसरा मुन्किर है तो ज़ौजा का क़ौल मोअ़्तबर है

और क़सम खिलाने की हाजत नहीं और इद्दत के अन्दर यह इख़्तिलाफ़ हुआ तो ज़ौज(शौहर) का कौल मोअ्तबर है और अगर इद्दत के बाद शौहर ने गवाहों से साबित किया कि मैंने इद्दत में कहा था कि "मैंने उसे वापस लिया" कहा था कि "मैंने उस से जिमाअ् किया" तो रजअ़त होगई (हिदाया वग़ैरा)

मसअ्ला :– इद्दत पूरी होने के बाद कहता है कि मैंने इद्दत में रजअ़त कर ली है और औ़रत तस्दीक करती है तो रजअ़त होगई और तकज़ीब करती है तो नहीं (हिदाया)

मसअ्ला :– ज़ौज व ज़ौजा मुत्तफ़िक़ हैं कि जुमआ़ के दिन रजअ़त हुई मगर औ़रत कहती है कि मेरी इद्दत जुमएरात को पूरी हुई थी और शौहर कहता है हफ़्ता के दिन तो क़सम के साथ शौहर का क़ौल मोअ्तबर है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औ़रत से इद्दत में कहा मैंने तुझे वापस लिया उस ने फ़ौरन कहा मेरी इद्दत ख़त्म हो चुकी और तलाक़ को इतना ज़माना हो चुका है कि इतने दिनों में इद्दत पूरी हो सकती है तो रजअ़त न हुई मगर औ़रत से क़सम ली जायेगी कि उस वक़्त इद्दत पूरी हो चुकी थी अगर क़सम खाने से इन्कार करेगी तो रजअ़त होजायेगी और अगर तलाक़ को इतना ज़माना नहीं हुआ कि इद्दत पूरी हो सके तो रजअ़त होगई अल्बत्ता अगर औ़रत कहती है कि मेरे बच्चा पैदा हुआ और उसे साबित भी कर दे तो मुद्दत का लिहाज़ न किया जायेगा और अगर जिस वक़्त शौहर ने रजअ़त के अल्फ़ाज़ कहे औ़र चुप रही फिर बाद में कहा कि मेरी इद्दत पूरी हो चुकी तो रजअ़त होगई।(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– बान्दी के शौहर ने इद्दत गुज़रने के बाद कहा मैंने इद्दत में रजअ़त कर ली थी मौला उस की तस्दीक करता है और बान्दी तकज़ीब (झुटलाना) और शौहर के पास गवाह नहीं या बान्दी कहती है मेरी इद्दत गुज़र चुकी थी और शौहर व मौला दोनों इन्कार करते हैं तो उन दोनों सूरतों में बान्दी का क़ौल मोअ्तबर है और अगर मौला शौहर की तकज़ीब करता है और बान्दी तस्दीक़ तो मौला का क़ौल मोअ्तबर है और अगर दोनों शौहर की तस्दीक़ करते हैं तो कोई इख़्तिलाफ़ ही नहीं और दोनों तकज़ीब(झुटलाते)करते हों तो रजअ़त नहीं हुई (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)और अगर मौला कहता है तूने रजअ़त की है और शौहर मुन्किर है तो मौला का क़ौल मोअ्तबर नहीं। (जौहरा)

मसअ्ला :– औ़रत ने पहले यह कहा कि मेरी इद्दत पूरी हो चुकी अब कहती है कि पूरी नहीं हुई तो शौहर को रजअ़त का इख़्तियार है (तन्वीर)

मसअ्ला :– औ़रत इद्दत पूरी होना बताये तो मुद्दत का लिहाज़ ज़रूरी है यानी इतना ज़माना गुज़र चुका हो कि इद्दत पूरी हो सकती हो यानी उस ज़माने में तीन हैज़ पूरे हो सकें और अगर वज़अ़े हमल से इद्दत हो तो उस के लिए कोई मुद्दत नहीं अगर कच्चा बच्चा हुआ जिस के अअ्ज़ा बन चुके हों जब भी इद्दत पूरी हो जायेगी मगर उस में औ़रत से क़सम ली जायेगी कि उस के अअ्ज़ा बन चुके थे और अगर विलादत का दअ्वा करती है तो गवाह होने चाहिए (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– औ़रत से कहा अगर मैं तुझे छूऊँ तो तुझ को तलाक़ है और छूवा तो तलाक़ होगई फिर दोबारा छूआ तो रजअ़त होई जबकि यह शहवत के साथ हो (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अपनी औ़रत से कहा अगर मैं तुझ से रजअ़त करूँ तो तुझ को तलाक़ है तो मुराद रजअ़त हकीकी है यानी अगर उसे तलाक़ दी फिर निकाह किया तो तलाक़ वाक़ेअ् न होगी और अगर रजअ़त की तो होजायेगी और तलाक़े रजई की इद्दत में उस से कहा कि अगर मैं रजअ़त करूँ तो तुझ को तीन तलाक़ें और इद्दत पूरी होने के बाद उस से निकाह किया तो तलाक़ नहीं होगी और बाइन की इद्दत में कहा तो हो जायेगी (आलमगीरी)

मसअला :– रजअत उस वक़्त तक है कि पिछले हैज़ से पाक न हुई हो उस के बाद नहीं हो सकती यानी अगर बान्दी है तो दूसरे हैज़ से पाक होने तक और आज़ाद औरत है तो तीसरे से पाक होने तक रजअत है अब अगर पिछला हैज़ पूरे दस दिन पर ख़त्म हुआ है तो दस दिन रात पूरे होते ही रजअत का भी ख़ात्मा है अगर्चे ग़ुस्ल अभी न किया हो और दस दिन रात से कम में पाक हुई तो जब तक नहा न ले या नमाज़ का एक वक़्त न गुज़र ले रजअत ख़त्म नहीं हुई और अगर गधे के झूटे पानी से नहाई जब भी रजअत नहीं कर सकता मगर उस ग़ुस्ल से नमाज़ नहीं पढ़ सकती न अभी दूसरे से निकाह कर सकती है जब तक ग़ैर मशकूक पानी से नहा न ले या नमाज़ का वक़्त न गुज़र ले और अगर वक़्त इतना बाक़ी है कि नहा कर तहरीमा बाँध ले तो उस वक़्त के ख़त्म होने पर रजअत भी ख़त्म है और अगर इतना ख़फ़ीफ़ (थोड़ा) वक़्त बाक़ी है कि नहा नहीं सकती या नहा सकती है मगर ग़ुस्ल और कपड़ा पहनने के बाद अल्लाहु अकबर कहने का भी वक़्त न रहेगा तो उस वक़्त का एअ्तिबार नहीं बल्कि या नहा ले या उस के बाद का दूसरा वक़्त गुज़र ले और अगर ऐसे वक़्त में ख़ून बन्द हुआ कि वह वक़्त फ़र्ज़ नमाज़ का नहीं यानी आफ़ताब निकलने से ढलने तक तो उस का भी एअ्तिबार नहीं बल्कि उसके बाद का वक़्त ख़त्म हो जाये यानी ज़ोहर का और अगर दस दिन रात से कम में ख़ून बन्द हुआ और औरत ने ग़ुस्ल कर लिया फिर ख़ून जारी हो गया और दस दिन से मुताजावज़ (बढ़जाना) न हुआ तो अभी रजअत ख़त्म न हुई थी और अगर औरत ने दूसरे से निकाह कर लिया था तो निकाह सहीह न हुआ यूहीं अगर ग़ुस्ल या नमाज़ का वक़्त गुज़रने से पहले इस सूरत में निकाह दूसरे से किया जब भी निकाह न हुआ (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– किसी औरत को कभी पाँच दिन ख़ून आता है और कभी छः दिन और इस बार इस्तिहाज़ा हो गया यानी दस दिन से ज़्यादा आया तो रजअत के हक़ में पाँच दिन का एअ्तिबार है कि पाँच दिन पूरे होने पर रजअत न होगी और दूसरे से निकाह करना चाहती है तो उस हैज़ के छः दिन पूरे होने पर कर सकती है (आलमगीरी)

मसअला :– औरत अगर किताबिया है तो पिछला हैज़ ख़त्म होते ही रजअत ख़त्म हो गई ग़ुस्ल व नमाज़ का वक़्त गुज़रना शर्त नहीं (आलमगीरी) मजनूना और मौतूह(जिस से जिमा कर लिया गया हो) का भी यही हुक्म है(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– दस दिन रात से कम में मुन्क़तअ् हुआ और न नहाई न नमाज़ का वक़्त ख़त्म हुआ बल्कि तयम्मुम कर लिया तो रजअत मुन्क़तअ् न हुई हाँ अगर उस तयम्मुम से पूरी नमाज़ पढ़ली तो अब रजअत नहीं हो सकती अगर्चे वह नमाज़ नफ़्ल हो और अगर अभी नमाज़ पूरी नहीं हुई है बल्कि शुरू की है तो रजअत कर सकता है और अगर तयम्मुम कर के क़ुर्आन मजीद पढ़ा या मुस्हफ़ शरीफ़ छूआ या मस्जिद में गई तो रजअत ख़त्म न हुई (फ़तह वग़ैरा)

मसअला :– ग़ुस्ल किया और कोई जगह एक अज़्व से कम मसलन बाज़ू या कलाई का कुछ हिस्सा या दो एक उंगली भूल गई जहाँ पानी पहुँचने में शक है तो रजअत ख़त्म मगर दूसरे से निकाह उस वक़्त कर सकती है कि उस जगह को धोले या नमाज़ का वक़्त गुज़र जाये और अगर यक़ीन है कि वहाँ पानी नहीं पहुँचा है या क़स्दन उस जगह को छोड़ दिया तो रजअत हो सकती है और अगर पूरा अज़्व जैसे हाथ या पाँव भूली तो रजअत हो सकती है कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना दोनों मिलकर एक अज़्व है और हर एक एक अज़्व से कम (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार वग़ैरा)

मसअला :– हामिला को तलाक़ दी और उस की वती से मुन्किर है और रजअत करली फिर छः

महीने से कम में बच्चा पैदा हुआ मगर वक़्ते निकाह से छः महीने या ज़्यादा में विलादत हुई तो रजअ़त हो गई (शरह वक़ाया)

मसअ्ला :– निकाह के बाद छः महीने या ज़्यादा के बाद बच्चा पैदा हुआ फिर उसे तलाक़ दी और वती से इन्कार करता है तो रजअ़त कर सकता है कि जब बच्चा पैदा हो चुका शरअ़न वती साबित है उस का इन्कार बेकार है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर ख़लवत हो चुकी है मगर वती से इन्कार करता है फिर तलाक़ दी तो रजअ़त नहीं कर सकता और अगर शौहर वती का इक़रार करता है मगर औ़रत मुन्किर है और ख़ल्वत हो चुकी है तो रजअ़त कर सकता है और ख़ल्वत नहीं हुई तो नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औ़रत से कहा अगर तू जने तो तुझ को तलाक़ है उस के बच्चा पैदा हुआ तलाक़ हो गई फिर छः महीने या ज़्यादा में दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो रजअ़त हो गई अगर्चे दूसरा बच्चा दो बरस से ज़्यादा में पैदा हुआ कि अक्सर मुद्दते हमल दो बरस है और इस सूरत में इद्दत हैज़ से है तो हो सकता है कि ज़्यादा दिनों के बाद हैज़ आया और इद्दत ख़त्म होने से पेशतर शौहर ने वती की हो हाँ अगर औ़रत इद्दत गुज़रने का इक़रार कर चुकी हो तो मजबूरी है और अगर दूसरा बच्चा पहले बच्चा से छः महीने से कम में पैदा हुआ तो बच्चा पैदा होने के बाद रजअ़त नहीं।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– तलाक़े रजई की इद्दत में औ़रत बनाव सिंगार करे जबकि शौहर मौजूद हो और औ़रत को रजअ़त की उमीद हो और अगर शौहर मौजूद न हो या औ़रत को मालूम हो कि रजअ़त न करेगा तो तज़ईन (बनाव सिंगार) न करे और तलाक़े बाइन और वफ़ात की इद्दत में ज़ीनत ह़राम है और मुतल्लक़ा रजईया को सफ़र में न लेजाये बल्कि सफ़र से कम मुसाफ़त तक भी न लेजाये जब तक रजअ़त पर गवाह न क़ाइम कर ले यह उस वक़्त है कि शौहर ने सराहतन रजअ़त की नफ़ी की हो वरना सफ़र में ले जाना ही रजअ़त है (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– शौहर को चाहिए कि जिस मकान में औ़रत है जब वहाँ जाये तो उसे ख़बर कर दे या खंकार कर जाये या उस तरह चले कि जूते की आवाज़ औ़रत सुने यह उस सूरत में है कि रजअ़त का इरादा न हो यूँही जब रजअ़त का इरादा न हो तो ख़ल्वत भी मकरूह है और रजअ़त का इरादा है तो मकरूह नहीं और रजअ़त का इरादा हो तो उस की बारी भी है वरना नहीं (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी वग़ैरहुम)

मसअ्ला :– औ़रत बान्दी थी उसे तलाक़ देदी और हुर्रा से निकाह कर लिया तो उस से रजअ़त कर सकता है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिस औ़रत को तीन से कम बाइन दी हैं उस से इद्दत में भी निकाह कर सकता है और बादे इद्दत भी और तीन तलाक़ें दी हों या लौन्डी को दो तो बग़ैर हलाला निकाह नहीं कर सकता अगर्चे दुखूल न किया हो अल्बत्ता अगर ग़ैर मदख़ूला हो तो तीन तलाक़ एक लफ़्ज़ से होगी जैसे कहे तुझे तीन तलाक़ें तीन लफ़्ज़ से एक ही होगी जैसे कहा तुझे तलाक़ तुझे तलाक़,तुझे तलाक़ या कहा तुझे तलाक़ तलाक़,तलाक़,तलाक़,या कहा तुझे तलाक़,है एक और एक और एक और दूसरे से इद्दत के अन्दर मुतलक़न निकाह नहीं कर सकती तीन तलाक़ें दी हों या तीन से कम (आम्मए कुतुब)

हलाला के मसाइल :–

मसअ्ला :– हलाला की सूरत यह है कि अगर औ़रत मदख़ूला है तो तलाक़ की इद्दत पूरी होने के बाद औ़रत किसी और से निकाहे सहीह करे और यह शौहरे सानी उस औ़रत से वती भी करे अब उस शौहरे सानी के तलाक़ या मौत के बाद इद्दत पूरी होने पर शौहर अव्वल से निकाह हो सकता

है और अगर औरत मदखूला नहीं है तो पहले शौहर के तलाक़ देने के बाद फ़ौरन दूसरे से निकाह कर सकती है कि उस के लिए इद्दत नहीं (आम्मए कुतुब)

मसअला :– पहले शौहर के लिए हलाल होने में निकाहे सहीह नाफ़िज़ की शर्त है अगर निकाहे फ़ासिद हुआ या मौकूफ़ और वती भी हो गई तो हलाला न हुआ मसलन किसी गुलाम ने बिग़ैर इजाज़ते मौला उस से निकाह किया और वती भी कर ली फिर मौला ने जाइज़ किया तो इजाज़ते मौला के बाद वती कर के छोड़ेगा तो पहले शौहर से निकाह कर सकती है और बिला वती तलाक़ दी तो वह पहले की वती काफ़ी नहीं यूँही ज़िना या वती बिश्शुबह से भी हलाला न होगा यूहीं अगर वह औरत किसी की बान्दी थी इद्दत पूरी होने के बाद मौला ने उस से जिमाअ् किया तो शौहर अव्वल के लिए अब भी हलाल न हुई और अगर ज़ौजा बान्दी थी उसे दो तलाकें दीं फिर उस के मालिक से ख़रीदली या किसी तरह से उस का मालिक होगया तो उस से वती नहीं कर सकता जब तक दूसरे से निकाह न होले और वह दूसरा वती भी न करले यूँही अगर औरत मआज़ल्लाह मुरतद हो कर दारुलहर्ब में चली गई फिर वहाँ से जिहाद में पकड़ आई और शौहर उस का मालिक हो गया तो उस के लिए हलाल न हुई हलाला में जो वती शर्त है उस से मुराद वह वती है जिस से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है यानी दुखूले हश्फ़ा और इन्ज़ाल शर्त नहीं (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला :– औरत हैज़ में है या एहराम बाँधे हुए है उस हालत में शौहरे सानी ने वती की तो यह वती हलाला के लिए काफ़ी है अगर्चे हैज़ की हालत में वती करना बहुत सख़्त हराम है(रद्दुल मुहतार)

मसअला :– दूसरा निकाह मुराहिक़ से हुआ(यानी ऐसे लड़के से जो ना बालिग़ है मगर क़रीबे बुलूग़ है और उस की उम्र वाले जिमाअ् करते हैं)और उस ने वती की और बादे बुलूग़ तलाक़ दी तो वह वती कि क़ब्ले बुलूग़ की थी हलाला के लिए काफ़ी है मगर तलाक़ बादे बुलूग़ होनी चाहिए कि नाबालिग़ की तलाक़ वाक़ेअ् न होगी मगर बेहतर यह है कि बालिग़ की वती हो कि इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैहि के नज़दीक इन्ज़ाल शर्त है और नाबालिग़ में इन्ज़ाल कहाँ (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल, मुहतार)

मसअला :– अगर मुतल्लक़ा छोटी लड़की है कि वती के क़ाबिल नहीं तो शौहरे सानी उस से वती कर भी ले जब भी शौहरे अव्वल के लिए हलाल न हुई और अगर नाबालिग़ा है मगर उस जैसी लड़की से वती की जाती है यानी वह उस क़ाबिल है तो वती काफ़ी है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर औरत के आगे और पीछे का मक़ाम एक हो गया है तो महज़ वती काफ़ी नहीं बल्कि शर्त यह है कि हामिला हो जाये यूँही अगर ऐसे शख़्स से निकाह हुआ जिस का अ़ज़्वे तनासुल कट गया है तो उस में भी हमल शर्त है (आलमगीरी)

मसअला :– मजनून या ख़स्सी से निकाह हुआ और वती की तो शौहरे अव्वल के लिए हलाल होगई (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– किताबिया औरत मुसलमान के निकाह में थी उसे तलाक़ दी और उस ने किसी किताबी से निकाह किया और हलाला के तमाम शराइत पाये गये तो शौहरे अव्वल के लिए हलाल हो गई (आलमगीरी)

मसअला :– पहले शौहर ने तीन तलाकें दीं औरत ने दूसरे से निकाह किया बिग़ैर वती उसने भी तीन तलाकें देदीं फिर औरत ने तीसरे से निकाह किया उस ने वती कर के तलाक़ दी तो पहले और दूसरे दोनों के लिए हलाल होगई यानी अब पहले या दूसरे जिस से चाहे निकाह कर सकती है (आलमगीरी)

मसअला :– बहुत ज़्यादा उम्र वाले से निकाह किया जो वती पर क़ादिर नहीं है उस ने किसी तर्कीब से अ़ज़्वे तनासुल दाख़िल कर दिया तो यह वती हलाला के लिए काफ़ी नहीं हाँ अगर आला में कुछ इन्तिशार पाया गया और दुख़ूल हो गया तो काफ़ी है (फ़त्ह वग़ैरा)

मसअला :– औरत सो रही थी या बेहोश थी शौहरे सानी ने उस हालत में उस से वती की तो यह वती हलाला के लिए काफी है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत को तीन तलाकें दी थीं अब वह आकर शौहरे अव्वल से यह कहती है कि इद्दत पूरी होने के बाद मैंने निकाह किया और उस ने जिमाअ् भी किया और तलाक़ देदी और यह इद्दत भी पूरी हो चुकी और पहले शौहर को तलाक़ दिंए इतना ज़माना गुज़र चुका है कि यह सब बातें हो सकती हैं तो अगर औरत को अपने गुमान में सच्ची समझता है तो उस से निकाह कर सकता है (हिदाया) और अगर औरत फ़क़त इतना ही कहे कि मैं हलाल हो गई तो उस से निकाह हलाल नहीं जब तक सब बातें पूछ न ले (आलमगीरी)

मसअला :– औरत कहती है कि शौहरे सानी ने जिमाअ् किया है और शौहरे सानी इन्कार करता है तो शौहरे अव्वल को निकाह जाइज़ है और शौहरे सानी कहता है कि मैंने जिमाअ् किया है और औरत इन्कार करती है तो निकाह जाइज़ नहीं और अगर औरत इक़रार करती है और अगर शौहरे अव्वल ने निकाह के बाद कहा कि शौहरे सानी ने जिमाअ् नहीं किया है तो दोनों में तफ़रीक़ करदी जाये और अगर शौहरे अव्वल से निकाह हो जाने के बाद औरत कहती है मैंने दूसरे से निकाह किया ही न था और शौहर कहता है कि तूने दूसरे से निकाह किया और उस ने वती भी की तो औरत की तस्दीक़ न की जाये और अगर शौहरे सानी औरत से कहता है कि मेरा निकाह तुझ से फ़ासिद हुआ कि मैंने तेरी माँ से जिमाअ् किया है अगर औरत उसके कहने को सच समझती है तो औरत शौहरे अव्वल के लिए हलाल न हुई (आलमगीरी)

मसअला :– किसी औरत से निकाहे फ़ासिद कर के तीन तलाकें देदीं तो हलाला की हाजत नहीं बग़ैर हलाला उस से निकाह कर सकता है (आलमगीरी)

मसअला :– निकाह बिशर्तित तहलील जिस के बारे में हदीस में लअ्नत आई वह यह है कि अक़्द निकाह यानी ईजाब व क़बूल में हलाला की शर्त लगाई जाये और यह निकाह मकरूह तहरीमी है ज़ौजे अव्वल व सानी और औरत तीनों गुनाहगार होंगे मगर औरत उस निकाह से भी बशराइते हलाला शौहरे अव्वल के लिए हलाल हो जायेगी और शर्त बातिल है और शौहरे सानी तलाक़ देने पर मजबूर नहीं और अगर अक़्द में शर्त न हो अगर्चे नियत में हो तो कराहत असलन नहीं बल्कि अगर नियते ख़ैर हो तो मुस्तहक़े अज्र है। (दुर्रे मुख़्तार वगैरा)

मसअला :– अगर निकाह इस नियत से किया जा रहा है कि शौहरे अव्वल के लिए हलाल हो जाये और औरत या शौहरे अव्वल को यह अन्देशा है कि कहीं ऐसा न हो कि निकाह करके तलाक़ न दे तो दिक़्क़त होगी तो उस के लिए बेहतर हीला यह है कि उस से यह कहलवा लें कि अगर मैं उस औरत से निकाह कर के जिमाअ् करूँ या निकाह कर के एक रात से ज़्यादा रखूँ तो उस पर बाइन तलाक़ है अब औरत से जिमाअ् करते ही या रात गुज़रने पर तलाक़ पड़ जायेगी या यूँ करे कि औरत या उसका वकील यह कहे कि मैंने या मेरी मुवक्किला ने अपने नफ़्स को तेरे निकाह में दिया इस शर्त पर कि मुझे या उसे अपने का इख़्तियार है कि जब चाहे अपने को तलाक़ दे ले वह कहे मैंने क़बूल किया अब औरत को तलाक़ देने का ख़ुद इख़्तियार है और अगर पहले ज़ौज की जानिब से अल्फ़ाज़ कहे गये कि मैंने उस औरत से निकाह किया इस शर्त पर कि उसे उस के नफ़्स का इख़्तियार है तो यह शर्त लग्व है औरत को इख़्तियार न होगा (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– दूसरे से औरत ने निकाह किया और उस ने दुख़ूल भी किया फिर उस के मरने या

तलाक़ देने के बाद शौहरे अव्वल से उसका निकाह हुआ तो अब शौहरे अव्वल तीन तलाक़ों का मालिक हो गया पहले जो कुछ तलाक़ दे चुका था उस का एअ्तिबार अब न होगा और अगर शौहरे सानी ने दुख़ूल न किया हो और शौहरे अव्वल ने तीन तलाक़ें दी थीं जब तो ज़ाहिर है कि हलाला हुआ ही नहीं पहले शौहर से निकाह ही नहीं हो सकता और तीन से कम दी थीं तो जो बाक़ी रहगई हैं उसी का मालिक है तीन का मालिक नहीं और ज़ौजा लोन्डी हो तो उस की दो तलाक़ें हुर्रा की तीन की जगह हैं (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत के पास दो शख़्सों ने गवाही दी कि उस के शौहर ने उसे तीन तलाक़ें देदीं और शौहर ग़ाइब है तो औरत बादे इद्दत दूसरे से निकाह कर सकती है बल्कि अगर एक शख़्स सिक़ह (दीनदार)ने तलाक़ की ख़बर दी है जब भी औरत निकाह कर सकती है बल्कि अगर शौहर का ख़त आया जिस में उसे तलाक़ लिखी है और औरत का ग़ालिब गुमान है कि ख़त उसी का है तो निकाह करने की औरत के लिए गुनजाइश है और अगर शौहर मौजूद है और दोनों मियाँ बीवी की तरह रहते हैं तो अब निकाह नहीं कर सकती (आलमगीरी, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– शौहर ने औरत को तीन तलाक़ें देदीं या बाइन तलाक़ दी मगर अब इन्कार करता है और औरत के पास गवाह नहीं तो जिस तरह मुमकिन हो औरत उस से पीछा छुड़ाये महर मुआफ़ करके या अपना माल देकर उस से अलाहिदा हो जाये ग़र्ज़ जिस तरह मुमकिन हो उस से किनारा कशी करे और किसी तरह वह न छोड़े तो औरत मजबूर है मगर हर वक़्त उसी फ़िक्र में रहे कि जिस तरह मुमकिन हो रिहाई हासिल करे और पूरी कोशिश इस की करे कि सोहबत न करने पाये यह हुक्म नहीं कि ख़ुदकुशी करले औरत जब इन बातों पर अमल करेगी तो मअ्ज़ूर है और शौहर बहर हाल गुनाहगार है (दुर्रे मुख़्तार मअ् ज़्यादा)

मसअला :– औरत को अब तीन तलाक़ें दीं और कहता यह है कि उस से पेश्तर एक तलाक़ देचुका था और इद्दत भी हो चुकी थी यानी उस का मक़सद यह है कि चुँकि इद्दत गुज़रने पर औरत अजनबिया हो गई लिहाज़ा यह तलाक़ें वाक़ेअ् न हुईं और औरत भी तस्दीक़ करती है तो किसी की तस्दीक़ न की जाये दोनों झूटे हैं कि ऐसा था तो मियाँ बीवी की तरह रहते क्योंकर थे हाँ अगर लोगों को उसका तलाक़ देना और इद्दत गुज़र जाना मालूम हो तो और बात है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– शौहर तीन तलाक़ें देकर इन्कारी हो गया औरत ने गवाह पेश किए और तीन तलाक़ का हुक्म दिया गया अब कहता है कि पहले एक तलाक़ दे चुका था और इद्दत गुज़र चुकी थी और गवाह भी पेश करता है तो गवाह भी मक़बूल नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– ग़ैर मदख़ूला को दो तलाक़ें दीं और कहता है कि एक पहले दे चुका है तो तीन क़रार पायेंगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– तीन तलाक़ें किसी शर्त पर मुअ़ल्लक़(Depend)थीं और वह शर्त पाई गई लिहाज़ा तीन तलाक़ें पड़गयीं औरत डरती है कि अगर उस से कहेगी तो वह सिरे से तअ्लीक़ ही से इन्कार कर जायेगा तो औरत को चाहिए ख़ुफ़िया हलाला कराये और इद्दत पूरी होने के बाद शौहर से तजदीदे निकाह की दरख़्वास्त करे (आलमगीरी)

ईला का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

لِلَّذِیۡنَ یُؤۡلُوۡنَ مِنۡ نِّسَآئِہِمۡ تَرَبُّصُ اَرۡبَعَۃِ اَشۡہُرٍ ۚ فَاِنۡ فَآءُوۡ فَاِنَّ اللّٰہَ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ○ وَ اِنۡ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰہَ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ ○

तर्जमा :– "जो लोग अपनी औरतों के पास जाने की क़सम खा लेते हैं उन के लिए चार महीने की मुद्दत है फिर अगर उस मुद्दत में वापस होगये (क़सम तोड़दी)तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है और अगर तलाक़ का पक्का इरादा कर लिया (रुजूअ़ न की) तो अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है"(तलाक़ हो जायेगी)

मसअ्ला :– ईला के मअ्ना यह हैं कि शौहर ने यह क़सम खाई कि औरत से कुर्बत न करेगा या चार महीने कुर्बत न करेगा औरत बान्दी है. तो उस के ईला की मुद्दत दो माह है।

मसअ्ला :– क़सम की दो सूरत है एक यह कि अल्लाह तआ़ला या उस के उन सिफ़ात की क़सम खाई जिन की क़सम खाई जाती है मसलन उस की अज़मत व जलाल की क़सम, उस की किबरियाई की क़सम, क़ुर्आन की क़सम, कलामुल्लाह की क़सम, दूसरी तअ्लीक़ मसलन यह कि अगर इस से वती करूँ तो मेरा गुलाम आज़ाद है, या मेरी औरत को तलाक़ है, या मुझ पर इतने दिनों का रोज़ा है, या हज है,। (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– ईला दो किस्म है एक मोकित यानी चार महीने का दूसरा मुअब्बद यानी चार महीने की क़ैद उस में न हो बहर हाल अगर औरत से चार माह के अन्दर जिमाअ़ किया तो क़सम टूट गई अगर्चे मजनून हो और कफ़्फ़ारा लाज़िम जबकि अल्लाह तआ़ला या उस के उन सिफ़ात की क़सम खाई हो और जिमाअ़ से पहले कफ़्फ़ारा दे चुका है तो उस का एअ्तिबार नहीं बल्कि फिर कफ़्फ़ारा दे और अगर तअ्लीक़ थी तो जिस पर थी वह हो जायेगी मसलन यह कहा कि अगर उस से सोहबत करूँ तो गुलाम आज़ाद है और चार महीने के अन्दर जिमाअ़ किया तो गुलाम आज़ाद हो गया और कुर्बत न की यहाँ, तक कि चार महीने गुज़र गये तो तलाक़ बाइन होगई फिर अगर ईलाए मोकित था यानी चार माह का तो यमीन साकित होगई यानी अगर उस औरत से फिर निकाह किया तो अब उसका कुछ असर नहीं और अगर मुअब्बद था यानी हमेशा की उस में क़ैद थी मसलन खुदा की क़सम तुझ से कभी कुर्बत न करूँगा या उस में कुछ क़ैद न थी मसलन खुदा की क़सम तुझ से कुर्बत न करूँगा तो इन सूरतों में एक बाइन तलाक़ पड़गई फिर भी क़सम बदस्तूर बाक़ी है यानी अगर उस औरत से फिर निकाह किया तो फिर ईला बदस्तूर आ गया अगर वक़्ते निकाह से चार माह के अन्दर जिमाअ़ कर लिया तो क़सम का कफ़्फ़ारा दे और तअ्लीक़ थी तो जज़ा वाक़ेअ़ हो जायेगी और चार महीने गुज़र लिये और कुर्बत न की तो एक तलाक़ बाइन वाक़ेअ़ हो गई मगर यमीन बदस्तूर बाक़ी है तीसरी बार निकाह किया तो फिर ईला आ गया अब भी जिमाअ़ न करे तो चार माह गुज़रने पर तीसरी तलाक़ पड़जायेगी और अब बे हलाला निकाह नहीं कर सकता अगर हलाला के बाद फिर निकाह किया तो अब ईला नहीं यानी चार महीने बग़ैर कुर्बत गुज़रने पर तलाक़ न होगी मगर क़सम बाक़ी है अगर जिमाअ़ करेगा कफ़्फ़ारा वाजिब होगा और अगर पहली या दूसरी तलाक़ के बाद औरत ने किसी और से निकाह किया उस के बाद फिर उस

से निकाह किया तो मुस्तक़िल तौर पर अब से तीन तलाक़ का मालिक होगा मगर ईला रहेगा यानी कुर्बत न करने पर तलाक़ हो जायेगी फिर निकाह किया फिर वही हुक्म है फिर एक या दो तलाक़ के बाद किसी से निकाह किया फिर उस से निकाह किया फिर वही हुक्म है यानी जब तक तीन तलाक़ के बाद दूसरे शौहर से निकाह न करे ईला बदस्तूर बाक़ी रहेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– ज़िम्मी ने ज़ात व सिफ़ात की क़सम के साथ ईला किया या तलाक़ व इताक़ (आज़ाद) पर तअ्लीक़ की तो ईला है और हज व रोज़ा व दीगर इबादात पर तअ्लीक़ की तो ईला न हुआ और जहाँ ईला सहीह है वहाँ मुसलमान के हुक्म में है मगर सोहबत करने पर कफ़्फ़ारा वाजिब नहीं(आलमगीरी)

मसअ्ला :– यूँ ईला किया कि अगर मैं कुर्बत करूँ तो मेरा फ़ुलाँ गुलाम आज़ाद है उसके बाद गुलाम मर गया तो ईला साक़ित हो गया यूँही अगर उस गुलाम को बेच डाला जब भी साक़ित है मगर वह गुलाम अगर कुर्बत से पहले फ़िर उस की मिल्क में आ गया तो ईला का हुक्म लौट आयेगा(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ईला सिर्फ़ मनकूहा से होता है या मुतल्लक़ा रजई से कि वह भी मन्कूहा ही के हुक्म में है अजनबिया से और जिसे बाइन तलाक़ दी है उस से इब्तिदाअन नहीं हो सकता यूँही अपनी लौन्डी से भी नहीं हो सकता हाँ दूसरे की कनीज़ उस के निकाह में है तो ईला कर सकता है यूँही अजनबिया का ईला अगर निकाह पर मुअ़ल्लक़ किया तो हो जायेगा मसलन अगर मैं तुझ से निकाह करूँ तो ख़ुदा की क़सम तुझ से कुर्बत न करूँगा (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ईला के लिए यह भी शर्त है कि शौहर अहले तलाक़ हो यानी वह तलाक़ दे सकता हो लिहाज़ा मजनून व नाबालिग़ का ईला सहीह नहीं कि यह अहले तलाक़ नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– गुलाम ने अगर क़सम के साथ ईला किया मसलन ख़ुदा की क़सम मैं तुझ से कुर्बत न करूँगा या ऐसी चीज़ पर मुअ़ल्लक़ किया जिसे माल से तअ़ल्लुक़ नहीं मसलन अगर मैं तुझ से कुर्बत करूँ तो मुझ पर इतने दिनों का रोज़ा है या हज या उ़मरा है या मेरी औ़रत को तलाक़ है तो ईला सहीह है और अगर माल से तअ़ल्लुक़ है तो सहीह नहीं मसलन मुझ पर एक गुलाम आज़ाद करना या इतना सदक़ा देना लाज़िम है तो ईला न हुआ कि वह माल का मालिक है नहीं (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– यह भी शर्त है कि चार महीने से कम की मुद्दत न हो और ज़ौजा कनीज़ है तो दो माह से कम की न हो और ज़्यादा की कोई हद नहीं और ज़ौजा कनीज़ थी उस के शौहर ने ईला किया था और मुद्दत पूरी न हुई थी कि आज़ाद हो गई तो अब उस की मुद्दत आज़ाद औ़रतों की है और यह भी शर्त है कि जगह मुअ़य्यन न करे अगर जगह मुअ़य्यन की मसलन वल्लाह फ़ुलाँ जगह तुझ से कुर्बत न करूँगा तो ईला नहीं और यह भी शर्त है कि ज़ौजा के साथ किसी बान्दी या अजनबिया को न मिलाये मसलन तुझ से और फ़ुलाँ औ़रत से कुर्बत न करूँगा और यह कि कुर्बत के साथ किसी और चीज़ को न मिलाये मसलन अगर मैं तुझ से कुर्बत करूँ या तुझे अपने बिछौने पर बुलाऊँ तो तुझ को तलाक़ है तो यह ईला नहीं ख़ानिया (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– इसके अल्फ़ाज़ बाज़ सरीह हैं बाज़ किनाया **सरीह** वह अल्फ़ाज़ हैं जिन से ज़हन जिमाअ़ के मअ़ना की तरफ़ जाये, उस मअ़ना में बकसरत इस्तिमाल किया जाता हो उस में नियत दरकार नहीं बग़ैर नियत भी ईला है और अगर सरीह लफ़्ज़ में यह कहे कि मैंने जिमाअ़ के मअ़ना का इरादा न किया था तो क़ज़ाअन उस का क़ौल मोअ़्तबर नहीं दियानतन मोअ़्तबर है। **किनाया** वह जिस से मअ़ना 'जिमाअ़ मुतबादिर(बिल्कुल ज़ाहिर) न हों दूसरे मअ़ना का भी एहतिमाल (शक)हो उस में बग़ैर नियत ईला नहीं और दूसरे मअ़ना मुराद होना बताता है तो क़ज़ाअ़न भी उस का क़ौल मान लिया जायेगा (रद्दुल मुहतार वग़ैरा)

मसअ्ला :– सरीह के बाज़ अल्फ़ाज़ यह हैं वल्लाह मैं तुझ से जिमाअ् न करूँगा, कुर्बत न करूँगा, सोहबत न करूँगा, वती न करूँगा, और उर्दू में बाज़ और अल्फ़ाज़ भी हैं जो ख़ास जिमाअ् ही के लिए बोले जाते हैं उन के ज़िक्र की हाजत नहीं हर शख़्स उर्दू दाँ जानता है अ़ल्लामा शामी ने उस लफ़्ज़ को कि मैं तेरे साथ न सोऊँगा सरीह कहा है और अस्ल यह है कि मदार उ़र्फ़ पर है उ़रफ़न जिस लफ़्ज़ से जिमाअ् के मअ्ना मुराद हों सरीह है अगर्चे यह मअ्ना मजाज़ी नहीं हों किनाया के बाज़ अल्फ़ाज़ यह हैं तेरे बिछौने के करीब न जाऊँगा, तेरे साथ न लेटूँगा, तेरे बदन से मेरा बदन न मिलेगा तेरे पास न रहूँगा वग़ैरहा।

मसअ्ला :– ऐसी बात की क़सम खाई कि बग़ैर जिमाअ् किए क़सम टूट जाये तो ईला नहीं मसलन अगर मैं तुझको छूऊँ तो ऐसा है महज़ बदन पर हाथ रखने ही से क़सम टूट जायेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर कहा मैंने तुझ से ईला किया है अब कहता है कि मैंने एक झूटी ख़बर दी थी तो क़ज़ाअ्न ईला है और दियानतन उस का क़ौल मान लिया जायेगा और अगर यह कहे कि उस लफ़्ज़ से ईला करना मकसूद था तो कज़ाअन व दियानतन हर तरह ईला है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– यह कहा कि वल्लाह तुझ से कुर्बत न करूँगा जब तक तू यह काम न कर ले और वह काम चार महीने के अन्दर कर सकती है तो ईला न हुआ अगर्चे चार महीने से ज़्यादा में करे(रहुल मुहतार)

मसअ्ला :– ईला अगर तअ्लीक़ से हो तो ज़रूर है कि जिमाअ् पर किसी ऐसे फ़ेअ्ल को मुअ़ल्लक़ करे जिस में मशक्क़त हो लिहाज़ा अगर यह कहा कि अगर मैं कुर्बत करूँ तो मुझ पर दो रकअ्त नफ़्ल है तो ईला न हुआ और अगर कहा कि मुझ पर सौ रकअ्तें नफ़्ल की हैं तो ईला हो गया और अगर वह चीज़ ऐसी है जिस की मन्नत नहीं ज़ब भी ईला न हुआ मसलन तिलावते कुर्आन, नमाज़े जनाज़ा तकफ़ीने मय्यत, सजदा–ए–तिलावत, बैतुल मकदिस में नमाज़ (दुर्रे मुख़्तार रहुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर मैं तुझ से कुर्बत करूँ तो मुझ पर फ़ुलाँ महीने का रोज़ा है अगर वह महीना चार महीने पूरे होन से पहले पूरा हो जाये तो ईला नहीं वरना है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर मैं तुझ से कुर्बत करूँ तो मुझ पर एक मिस्कीन का खाना है या एक दिन का रोज़ा तो ईला हो गया या कहा खुदा की क़सम तुझ से कुर्बत न करूँगा जब तक अपने गुलाम को आज़ाद न करूँ या अपनी फ़ुलाँ औरत को तलाक़ न दूँ या एक महीने का रोज़ा न रख लूँ तो इस सब सूरतों में ईला है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– तू मुझ पर वैसी है जैसे फ़ुलाँ की औरत और उस ने ईला किया है और उस ने भी ईला की नियत की तो ईला है वरना नहीं यह कहा कि अगर मैं तुझ से कुर्बत करूँ तो तू मुझ पर हराम है और नियत ईला की है तो होगया (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक औरत से ईला किया फिर दूसरी से किया तुझे मैंने उस के साथ शरीक कर दिया तो दूसरी से ईला न हुआ (आलमगीरी)

मसअ्ला :– दो औरतों से कहा वल्लाह मैं तुम दोनों से कुर्बत न करूँगा तो दोनों से ईला हो गया अब अगर चार महीने गुज़र गये और दोनों से कुर्बत न की तो दोनों बाइन हो गयीं और अगर एक से चार महीने के अन्दर जिमाअ् कर लिया तो उस का ईला बातिल हो गया और दसूरी का बाकी है मगर कफ़्फ़ारा वाजिब नहीं और अगर मुद्दत के अन्दर एक मर गई तो दोनों का ईला बातिल है और कफ़्फ़ारा नहीं अगर एक को तलाक़ दी तो ईला बातिल नहीं और अगर मुद्दत में दोनों से जिमाअ् किया तो दोनों का ईला बातिल हो गया और एक कफ़्फ़ारा वाजिब है (आलमगीरी)

मसअला :– अपनी चार औरतों से कहा ख़ुदा की क़सम मैं तुम से क़ुर्बत न करूँगा मगर फ़ुलानी या फ़ुलानी से तो उन दोनों से ईला न हुआ। (आलमगीरी)
मसअला :– अपनी दो औरतों को मुख़ातब कर के कहा ख़ुदा की क़सम तुम में से एक से क़ुर्बत न करूँगा तो एक से ईला हुआ फिर अगर एक से वती कर ली ईला बातिल हो गया और कफ़्फ़ारा वाजिब है और अगर एक मरगई या मुरतद हो गई या उस को तीन तलाक़ें देदीं तो दूसरी ईला के लिए मुअय्यन है और अगर किसी से वती न की यहाँ तक कि मुद्दत गुज़र गई तो एक को बाइन तलाक़ पड़गई उसे इख़्तियार है जिसे चाहे उस के लिए मुअय्यन करे और अगर चार महीने के अन्दर एक को मुअय्यन करना चाहता है तो उसका उसे इख़्तियार नहीं अगर मुअय्यन कर भी दे जब भी मुअय्यन न हुई मुद्दत के बाद मुअय्यन करने का उसे इख़्तियार है अगर एक से भी जिमाअ़ न किया और चार महीने और गुज़र गये तो दोनों बाइन हो गयीं उस के बाद अगर फिर दोनों से निकाह किया एक साथ या आगे पीछे तो फिर एक से ईला है मगर ग़ैर मुअय्यन और दोनों मुद्दतें गुज़रने पर दोनों बाइन हो जायेंगी (आलमगीरी)
मसअला :– अगर कहा तुम दोनों में से किसी से क़ुर्बत न करूँगा तो दोनों से ईला है चार महीने गुज़र गये और किसी से क़ुर्बत न की तो दोनों को तलाक़े बाइन हो गई और एक से वती कर ली तो ईला बातिल है और कफ़्फ़ारा वाजिब (आलमगीरी)
मसअला :– अपनी औरत और बान्दी से कहा तुम में एक से क़ुर्बत न करूँगा तो ईला नहीं हाँ अगर औरत मुराद है तो है और उन में एक से वती की तो क़सम टूट गई कफ़्फ़ारा दे फिर अगर लौन्डी को आज़ाद करके उस से निकाह किया जब भी ईला नहीं और अगर दो ज़ौजा हों एक हुर्रा (आज़ाद) दूसरी बान्दी और कहा तुम दोनों से क़ुर्बत न करूँगा तो दोनों से ईला है दो महीने गुज़र गये और किसी से क़ुर्बत न की तो बान्दी को बाइन तलाक़ हो गई उसके बाद दो महीने और गुज़रे तो हुर्रा भी बाइन (आलमगीरी)
मसअला :– अपनी दो औरतों से कहा कि अगर तुम में एक से क़ुर्बत करूँ तो दूसरी को तलाक़ है और चार महीने गुज़र गये मगर किसी से वती न की तो एक बाइन हो गई और शौहर को इख़्तियार है जिस को चाहे तलाक़ के लिए मुअय्यन करे और अब दूसरी से ईला है अगर फिर चार महीने गुज़र गये और हुनूज़ पहली इद्दत में है तो दसूरी भी बाइन होगई वरना नहीं और अगर मुअय्यन न किया यहाँ तक कि और चार महीने गुज़र गये तो दोनों बाइन हो गयीं (आलमगीरी)
मसअला :– जिस औरत को तलाक़े बाइन दी है उस से ईला नहीं हो सकता और रजई दी है तो इद्दत में हो सकता है मगर वक़्ते ईला से चार महीने पूरे न हुए थे कि इद्दत ख़त्म हो गई तो ईला साकित हो गया और अगर ईला करने के बाद तलाक़ बाइन दी तो तलाक़ हो गई और वक़्त ईला से चार महीने गुज़रे और हुनूज़ (उस वक़्त तक) तलाक़ की इद्दत पूरी न हुई तो दूसरी तलाक़ फिर पड़ी और अगर पूरी होने पर ईला की मुद्दत पूरी हुई तो अब ईला की वजह से तलाक़ न पड़ेगी और अगर ईला के बाद दी और इद्दत के अन्दर उस से फिर निकाह कर लिया तो ईला बदस्तूर बाक़ी है यानी वक़्ते ईला से चार महीने गुज़रने पर तलाक़ वाक़ेअ़ हो जायेगी और इद्दत पूरी होने के बाद निकाह किया जब भी ईला है मगर वक़्ते निकाहे सानी से चार माह गुज़रने पर तलाक़ होगी। (ख़ानिया)
मसअला :– यह कहा कि ख़ुदा की क़सम तुझ से क़ुर्बत न करूँगा दो महीने और दो महीने तो ईला हो गया और अगर यह कहा कि वल्लाह दो महीने तुझ से क़ुर्बत न करूँगा फिर एक दिन बाद

बल्कि थोड़ी देर बाद कहा वल्लाह उन दो महीनों के बाद दो महीने कुर्बत न करूँगा तो ईला न हुआ मगर उस मुद्दत में जिमाअ़ करेगा तो क़सम का कफ़्फ़ारा लाज़िम है अगर कहा क़सम ख़ुदा की तुझ से चार महीने कुर्बत न करूँगा मगर एक दिन फिर फ़ौरन कहा वल्लाह उस दिन भी कुर्बत न करूँगा तो ईला हो गया (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अपनी औरत से कहा तुझ को तलाक़ है क़ब्ल उस के तुझ से कुर्बत करूँ तो ईला हो गया अगर कुर्बत की तो फ़ौरन तलाक़ हो गई और चार महीने तक न की तो ईला की वजह से बाइन हो गई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– यह कहा कि अगर मैं तुझ से कुर्बत करूँ तो मुझ पर अपने लड़के को कुर्बानी कर देना है तो ईला हो गया (आलमगीरी)

मसअ्ला :– यह कहा कि अगर मैं तुझ से कुर्बत करूँ तो मेरा यह गुलाम आज़ाद है चार महीने गुज़र गये अब औरत ने क़ाज़ी के यहाँ दअ्वा किया क़ाज़ी ने तफ़रीक़ करदी फिर उस गुलाम ने दअ्वा किया कि मैं गुलाम नहीं बल्कि असली आज़ाद हूँ और गवाह भी पेश कर दिये क़ाज़ी फ़ैसला करेगा कि वह आज़ाद है और ईला बातिल हो जायेगा और औरत वापस मिलेगी कि ईला था ही नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अपनी औरत से कहा ख़ुदा की क़सम तुझ से कुर्बत न करूँगा एक दिन बाद फिर यही कहा एक दिन और गुज़रा फिर यही कहा तो यह तीन ईला हुए और तीन में चार महीने गुज़रने पर एक बाइन तलाक़ पड़ी फिर एक दिन और गुज़रा तो एक और पड़ी तीसरे दिन फिर एक और पड़ी अब बग़ैर हलाला उस के निकाह में नहीं आ सकती हलाला के बाद अगर निकाह और कुर्बत की तो तीन कफ़्फ़ारे अदा करे और अगर एक ही मज्लिस में यह लफ़्ज़ तीन बार कहे और नियत ताकीद की है तो एक ही ईला है और एक ही क़सम और अगर कुछ नियत न हो या बार बार क़सम खाना तशद्दुद की नियत से हो तो ईला एक है मगर क़सम तीन लिहाज़ा अगर कुर्बत करेगा तो तीन कफ़्फ़ारे दे और कुर्बत न करे तो मुद्दत गुज़रने पर एक तलाक़ वाक़ेअ़ होगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ख़ुदा की क़सम मैं तुझ से एक साल तक कुर्बत न करूँगा मगर एक दिन या एक घन्टा तो फ़िलहाल ईला नहीं मगर जबकि साल में किसी दिन जिमाअ़ कर लिया और अभी साल पूरे होने में चार माह या ज़्यादा बाक़ी हैं तो अब ईला हो गया और अगर जिमाअ़ करने के बाद साल में चार महीने से कम बाक़ी हैं या उस साल कुर्बत ही न की तो अब भी ईला न हुआ और अगर सूरते मज़कूरा में एक दिन की जगह एक बार कहा जब भी यही हुक्म है फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि अगर एक दिन कहा है तो जिस दिन जिमाअ़ किया है उस दिन आफ़ताब डूबने के बाद अगर चार महीने बाक़ी हैं तो ईला है वरना नहीं अगर्चे वक़्ते जिमाअ़ से चार महीने हों **और अगर** एक बार का लफ़्ज़ कहा है तो जिमाअ़ से फ़ारिग़ होने से चार माह बाक़ी हैं तो ईला हो गया और अगर यूँ कहा कि मैं एक साल तक जिमाअ़ न करूँगा मगर जिस दिन जिमाअ़ करूँ, तो ईला किसी तरह न हुआ और अगर यह कहा कि तुझ से कुर्बत न करूँगा मगर एक दिन यानी साल का लफ़्ज़ न कहा तो जब कभी जिमाअ़ करेगा उस वक़्त से ईला है (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– औरत दूसरे शहर या दूसरे गाँव में है शौहर ने क़सम खाई कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो ईला न हुआ अगर्चे वहाँ तक चार महीने या ज़्यादा की राह हो (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जिमाअ़ करने को किसी ऐसी चीज़ पर मौक़ूफ़ किया जिसकी निस्बत यह उम्मीद नहीं है कि चार महीने के अन्दर हो जाये तो ईला हो गया मसलन रजब के महीने में कहे वल्लाह मैं तुझ

से कुर्बत न करूँगा जबतक मुहर्रम का रोज़ा न रख लूँ या मैं तुझ से जिमाअ़ न करूँगा फुलाँ जगह और वहाँ चार महीने से कम में नहीं पहुँच सकता या जब तक बच्चा के दूध छुड़ाने का वक़्त न आये और अभी दो बरस पूरे होने में चार माह या ज़्यादा बाक़ी है तो इन सब सूरतों में ईला है यूँहीं अगर वह काम मुद्दत के अन्दर तो हो सकता है मगर यूँ कि निकाह न रहेगा जब भी ईला है मसलन कुर्बत न करूँगा यहाँ तक कि तू मरजाये या मैं मरजाऊँ या तू क़त्ल की जाये या मैं मार डाला जाऊँ या तू मुझे मार डाले या मैं तुझे मारडालूँ या मैं तुझे तीन तलाक़ें दे दूँ (जौहरा वग़ैरहा)

मसअ्ला :– यह कहा कि तुझ से क़ियामत तक कुर्बत न करूँगा या यहाँ तक कि आफ़ताब मग़रिब से तुलूअ़ करे, या दज्जाल लईन का ख़ुरूज हो, या दाब्बातुल अर्द ज़ाहिर हो, या ऊँट सूई के नाके में चला जाये यह सब ईला–ए–मुअब्बद है (जौहरा नय्यरा)

मसअ्ला :– औरत नाबालिग़ा है उस से क़सम खाकर कहा कि तुझ से कुर्बत न करूँगा जब तक तुझे हैज़ न आ जायें अगर मालूम है कि चार महीने तक न आयेगा तो ईला है यूँही अगर आइसा है उस से कहा जब भी ईला है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाकर कहा तुझ से कुर्बत न करूँगा जबतक तू मेरी औरत है फिर उसे बाइन तलाक़ देकर निकाह किया तो ईला नहीं और अब कुर्बत करेगा तो कफ़्फ़ारा भी नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– कुर्बत करना ऐसी चीज़ पर मुअ़ल्लक़ किया जो कर नहीं सकता मसलन यह कहा जब तक आसमान को न छूलूँ तो ईला हो गया और अगर कहा कि जिमाअ़ न करूँगा जब तक यह नहर जारी है और वह नहर बारहों महीने जारी रहती है तो ईला है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– सेहत की हालत में ईला किया था और मुद्दत के अन्दर वती की मगर उस वक़्त मजनून है तो क़सम टूट गई और ईला साक़ित (फ़त्ह)

मसअ्ला :– ईला किया और मुद्दत के अन्दर क़सम तोड़ना चाहता है मगर वती करने से आजिज़ है कि वह ख़ुद बीमार है या औरत बीमार है या औरत सग़ीर सिन है या औरत का मक़ाम बन्द है कि वती हो नहीं सकती, या यही नामर्द है या उसका अज़्व काट डाला गया है या औरत इतने फ़ासिले पर है कि चार महीने में वहाँ नहीं पहुँच सकता या ख़ुद क़ैद है और क़ैद ख़ाना में वती नहीं कर सकता और क़ैद भी ज़ुल्मन हो या औरत जिमाअ़ नहीं करने देती या कहीं ऐसी जगह है कि उसको उसका पता नहीं तो ऐसी सूरतों में ज़बान से रुजूअ़ के अल्फ़ाज़ कह ले मसलन कहे मैंने तुझे रुजूअ़ कर लिया या ईला को बातिल कर दिया मैंने अपने क़ौल से रुजूअ़ किया या वापस लिया तो ईला जाता रहेगा यानी मुद्दत पूरी होने पर तलाक़ वाक़ेअ़ न होगी और एहतियात यह है कि गवाहों के सामने कहे मगर क़सम अगर मुतलक़ है या मुअब्बद तो वह अपनी हालत पर बाक़ी है जब वती करेगा कफ़्फ़ारा लाज़िम आयेगा और अगर चार महीने की थी और चार महीने के बाद वती की तो कफ़्फ़ारा नहीं मगर ज़बान से रुजूअ़ करने के लिए यह शर्त है कि मुद्दत के अन्दर यह इज्ज़ (मजबूरी) क़ाइम रहे और अगर मुद्दत के अन्दर ज़बानी रुजूअ़ के बाद वती पर क़ादिर हो गया तो ज़बानी रुजूअ़ नाकाफ़ी है वती ज़रूर है (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– अगर किसी उ़ज़्रे शरई की वजह से वती नहीं कर सकता मसलन ख़ुद या औरत ने हज का एहराम बाँधा है और अभी हज पूरे होने में चार महीने का अर्सा है तो ज़बान से रुजूअ़ नहीं कर सकता यूँहीं अगर किसी के हक़ की वजह से क़ैद है तो ज़बानी रुजूअ़ काफ़ी नहीं कि यह आजिज़ नहीं कि हक़ अदा करके क़ैद से रिहाई पा सकता है और अगर जहाँ औरत है वहाँ तक चार

महीने से कम में पहुँचेगा मगर दुश्मन या बादशाह जाने नहीं देता तो यह उज़्र नहीं(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– वती से आ़जिज़ ने दिल से रुजूअ़ कर लिया मगर ज़बान से कुछ न कहा तो रुजूअ़ नहीं (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जिस वक़्त ईला किया उस वक़्त आ़जिज़ न था फिर आ़जिज़ हो गया तो ज़बानी रुजूअ़ काफ़ी नहीं मसलन तन्दुरुस्त ने ईला किया फिर बीमार हो गया तो अब रुजूअ़ के लिए वती ज़रूर है मगर जबकि ईला करते ही बीमार हो गया इतना वक़्त न मिला कि वती करता तो ज़बान से कह लेना काफ़ी है और अगर मरीज़ ने ईला किया था और अभी अच्छा न हुआ था कि औ़रत बीमार हो गई अब यह अच्छा हो गया तो ज़बानी रुजूअ़ नाकाफ़ी है (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ज़बान से रुजूअ़ के लिए एक शर्त यह भी है कि वक़्ते रुजूअ़ निकाह बाक़ी हो और अगर बाइन तलाक़ देदी तो रुजूअ़ नहीं कर सकता यहाँ तक कि अगर मुद्दत के अन्दर निकाह कर लिया फिर मुद्दत पूरी हुई तो तलाक़ बाइन वाक़ेअ़ हो गई (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– शहवत के साथ बोसा लेना या छूना या उस की शर्मगाह की तरफ़ नज़र करना या आगे के मक़ाम के अ़लावा किसी और जगह वती करना रुजूअ़ नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर हैज़ में जिमाअ़ कर लिया तो अगर्चे यह बहुत सख़्त हराम है मगर ईला जाता रहा (आमलगीरी)

मसअ्ला :– अगर ईला किसी शर्त पर मुअ़ल्लक़ था और जिस वक़्त शर्त पाई गइ उस वक़्त आ़जिज़ है तो ज़बानी रुजूअ़ काफ़ी है वरना नहीं **तअ़लीक़** के वक़्त का लिहाज़ नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– मरीज़ ने ईला किया फिर दस दिन के बाद दोबारा ईला के अल्फ़ाज़ कहे तो दो ईला हैं और दो क़समें और दोनों की दो मुद्दतें अगर दोनों मुद्दतें पूरी होने से पहले ज़बानी रुजूअ़ कर लिया और दोनों मुद्दतें पूरी होने तक बीमार रहा तो ज़बानी रुजूअ़ सहीह है दोनों ईला जाते रहे **और अगर** पहली मुद्दत पूरी होने से पहले अच्छा हो गया तो वह रुजूअ़ करना बेकार गया **और अगर** ज़बानी रुजूअ़ न किया था तो दोनों मुद्दतें पूरी होने पर दो तलाक़ें वाक़ेअ़ होंगी और अगर जिमाअ़ कर लेगा तो दोनों क़समें टूट जायेंगी और दो कफ़्फ़ारे लाज़िम। **और अगर** पहली मुद्दत पूरी होने से पहले ज़बानी रुजूअ़ किया और मुद्दत पूरी होने पर अच्छा हो गया तो अब दूसरे के लिए वह काफ़ी नहीं बल्कि जिमाअ़ ज़रूर है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुद्दत में अगर ज़ौज व ज़ौजा का इख़्तिलाफ़ हो तो शौहर का क़ौल मोअ़्तबर है मगर औ़रत को जब उस का झूटा होना मालूम हो तो उसे इजाज़त नहीं कि उस के साथ रहे जिस तरह हो सके माल वग़ैरा देकर उस से अलाहिदा हो जाये **और अगर** मुद्दत के अन्दर जिमाअ़ करना बताता है तो शौहर का क़ौल मोअ़्तबर है **और** पूरी होने के बाद कहता है कि इसना–ए–मुद्दत में जिमाअ़ किया है तो जब तक औ़रत उस की तस्दीक़ न करे उस का क़ौल न मानें(आलमगीरी जौहरा)

मसअ्ला :– औ़रत से कहा अगर तू चाहे तो ख़ुदा की क़सम तुझ से क़ुर्बत न करूँगा उसी मज्लिस में औ़रत ने कहा मैंने चाहा तो ईला हो गया यूँही अगर और किसी के चाहने पर ईला मुअ़ल्लक़ किया तो मज्लिस में उस के चाहने से ईला हो जायेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औ़रत से कहा तू मुझ पर हराम है इस लफ़्ज़ से ईला की नियत की तो ईला है और ज़िहार की तो ज़िहार वरना तलाक़े बाइन और तीन की नियत की तो तीन **और अगर** औ़रत ने कहा कि मैं तुझ पर हराम हूँ तो यमीन है शौहर ने ज़बरदस्ती या उस की ख़ुशी से जिमाअ़ किया तो औ़रत पर कफ़्फ़ारा लाज़िम है (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अगर शौहर ने कहा तू मुझ पर मिस्ल मुरदार या गोश्त ख़िन्ज़ीर या ख़ून या शराब के है अगर उस से झूट मकसूद है तो झूट है और हराम करना मकसूद है तो ईला है और तलाक़ की नियत है तो तलाक़ (जौहरा)

मसअला :– औरत को कहा तू मेरी माँ है और नियत तहरीम की है तो हराम न होगी बल्कि यह झूट है (जौहरा)

मसअला :– अपनी दो औरतों से कहा तुम दोनों मुझ पर हराम हो और एक में तलाक़ की नियत है दूसरी में ईला की या एक में एक तलाक़ की नियत की दूसरी में तीन की तो जैसी नियत की उस के मुवाफ़िक हुक्म दिया जायेगा (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

खुलअ्

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फ़रमाता है।

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٥

तर्जमा :– " तुम्हें हलाल नहीं कि जो कुछ औरतों को दिया है उस में से कुछ वापस लो मगर जब दोनों को अन्देशा हो कि अल्लाह की हदें क़ाइम न रखेंगे फिर अगर तुम्हें अन्देशा हो कि वह दोनों अल्लाह की हदें क़ाइम न रखेंगे तो उन पर कुछ गुनाह नहीं इस में कि बदला देकर औरत छुटटी लें। यह अल्लाह की हदें हैं उन से तजावुज़ न करें और जो अल्लाह की हुदूद से तजावुज़ करे तो वह लोग ज़ालिम हैं"

सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम में हज़रते अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि साबित इब्ने कैस रदियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ौजा ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह साबित इब्ने कैस के अख़लाक़ व दीन की निस्बत मुझे कुछ कलाम नहीं (यानी उन के अख़लाक़ भी अच्छे हैं और दीनदार भी हैं) मगर इस्लाम में कुफ़राने नेअ्मत को मैं पसन्द नहीं करती (यानी खुबसूरत न होने की वजह से मेरी तबीअत उन की तरफ़ माइल नहीं) इरशाद फ़रमाया उस का बाग़ (जो महर में तुझ को दिया है) तू वापस करदेगी अर्ज़ की हाँ हुज़ूर ने साबित इब्ने कैस से फ़रमाया बाग़ लेलो और तलाक़ देदो।

मसअला :– माल के बदले में निकाह ज़ाइल करने को खुलअ् कहते हैं औरत का कबूल करना शर्त है बग़ैर उस के कबूल किए खुला नहीं हो सकता और उस के अल्फ़ाज़ मुअय्यन हैं उन के अलावा और लफ़्ज़ों से न होगा।

मसअला :– अगर ज़ौज व ज़ौजा (मियाँ बीवी) में ना इत्तिफ़ाक़ी रहती हो और यह अन्देशा हो कि अहकामे शरईया की पाबन्दी न कर सकेंगे तो खुला में मुज़ाइका (हरज) नहीं और जब खुलअ् करलें तो तलाक़े बाइन वाक़ेअ् हो जायेगी और जो माल ठहरा है औरत पर उस का देना लाज़िम है (हिदाया)

मसअला :– अगर शौहर की तरफ़ से ज़्यादती हो तो खुलअ् पर मुतलक़न एवज़ लेना मकरूह है और अगर औरत की तरफ़ से हो तो जितना महर में दिया हो उस से ज़्यादा लेना मकरूह फिर भी अगर ज़्यादा ले ले तो क़ज़ाअन जाइज़ है (आलमगीरी)

मसअला :– जो चीज़ महर हो सकती है वह बदले खुलअ् भी हो सकती है। और जो चीज़ महर नहीं हो सकती वह भी बदले खुलअ् हो सकती है मसलन दस दिरहम से कम को बदले खुलअ् कर सकते हैं मगर महर नहीं कर सकते (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– खुलअ् शौहर के हक़ में तलाक़ को औरत के क़बूल करने पर मुअ़ल्लक़ (शर्त)करना है कि औरत ने अगर माल देना क़बूल कर लिया तो तलाक़े बाइन हो जायेगी लिहाज़ा अगर शौहर ने खुलअ् के अल्फ़ाज़ कहे और औरत ने अभी क़बूल नहीं किया तो शौहर को रुजूअ् का इख़्तियार नहीं न शौहर को शर्ते ख़ियार हासिल और न शौहर की मज्लिस बदलने से खुलअ् बातिल(शौहर खुलअ् के अलफ़ाज़ कहने के बाद रूजूअ् नहीं कर सकता) (ख़ानिया)

मसअला :– खुलअ् औरत की जानिब में अपने को माल के बदले में छुड़ाना है तो अगर औरत की जानिब से इब्तिदा हुई मगर अभी शौहर ने क़बूल नहीं किया तो औरत रुजूअ् कर सकती है और अपने लिए इख़्तियार भी ले सकती है और यहाँ तीन दिन से ज़्यादा का भी इख़्तियार ले सकती है बख़िलाफ़ बैअ् (ख़रीद व फ़रोख़्त) के कि बैअ् में तीन दिन से ज़्यादा का इख़्तियार नहीं और दोनों में से एक की मज्लिस बदलमे के बाद औरत का कलाम बातिल हो जायेगा (ख़ानिया)

मसअला :– खुलअ् चूँकि मुआवज़ा (बदला) है लिहाज़ा यह शर्त है कि औरत का क़बूल उस लफ़्ज़ के मअ्ना समझकर हो बग़ैर मअ्ना समझे अगर महज़ लफ़्ज़ बोल देगी तो खुलअ् न होगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– चूँकि शौहर की जानिब से खुलअ् है लिहाज़ा शौहर आ़क़िल, बालिग़ होना शर्त है नाबालिग़ या मजनून खुलअ् नहीं कर सकता कि अहले तलाक़ नहीं और यह भी शर्त है कि औरत महल्ले तलाक़ हो लिहाज़ा अगर औरत को तलाक़े बाइन देदी है तो अगर्चे इद्दत में हो उस से खुलअ् नहीं हो सकता यूँही अगर निकाह फ़ासिद हुआ है या औरत मुरतद हो गई जब भी खुलअ् नहीं हो सकता कि निकाह ही नहीं है खुलअ् किस चीज़ का होगा और रजई की इद्दत में है तो खुलअ् हो सकता है (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– शौहर ने कहा मैंने तुझ से खुलअ् किया और माल का ज़िक्र न किया तो खुलअ् नहीं बल्कि तलाक़ है और औरत के क़बूल करने पर मौकूफ़ नहीं। (बदाएअ्)

मसअला :– शौहर ने कहा मैंने तुझ से इतने पर खुलअ् किया औरत ने जवाब में कहा हाँ तो उस से कुछ नहीं होगा जब तक यह न कहे कि मैं राज़ी हुई या जाइज़ किया यह कहा तो सहीह हो गया यूँही अगर औरत ने कहा मुझे हज़ार रुपये के बदले में तलाक़ देदे शौहर ने कहा हाँ तो यह भी कुछ नहीं और अगर औरत ने कहा मुझ को हज़ार रुपये के बदले में तलाक़ है शौहर ने कहा हाँ तो हो गई (आलमगीरी)

मसअला :– निकाह की वजह से जितने हुक़ूक़ एक के दूसरे पर थे वह खुलअ् से साक़ित हो जाते हैं और जो हुक़ूक़ कि निकाह से अलावा हैं वह साक़ित न होंगे इद्दत का नफ़्क़ा अगर्चे निकाह के हुक़ूक़ से है मगर यह साक़ित न होगा हाँ अगर उस के साक़ित होने की शर्त कर दी गई तो यह भी साक़ित हो जायेगा यूँही औरत के बच्चा हो तो उस का नफ़्क़ा और दूध पिलाने के मसारिफ़ (ख़र्च)साक़ित न होंगे और अगर उन के साक़ित होने की भी शर्त है और उस के लिए कोई वक़्त मुअ़य्यन कर दिया गया है तो साक़ित हो जायेंगे वरना नहीं और बसूरते वक़्त मुअ़य्यन (वक़्त ख़ास करने की सूरत में) करने के अगर उस वक़्त से पेशतर बच्चे का इन्तिक़ाल हो गया तो बाक़ी मुद्दत में जो सर्फ़ होता वह औरत से शौहर ले सकता है और अगर यह ठहरा है कि औरत अपने माल से

दस बरस तक बच्चे की परवरिश करेगी तो बच्चे के कपड़े का औरत मुतालबा कर सकती है **और अगर** बच्चे का खाना कपड़ा दोनों ठहरा है तो कपड़े का मुतालबा भी नहीं कर सकती अगर्चे यह मुअय्यन न किया हो कि किस क़िस्म का कपड़ा पहनायेगी और बच्चे को छोड़कर औरत भाग गई तो बाक़ी नफ़्क़ा की क़ीमत शौहर वुसूल कर सकता है **और अगर** यह ठहरा है कि बुलूग़ तक अपने पास रखेगी तो लड़की में ऐसी शर्त हो सकती है लड़के में नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– खुलअ् किसी मिक़दारे मुअय्यन पर हुआ और औरत मदखूला (जिमा कर लिया हो)है और महर पर औरत ने क़ब्ज़ा कर लिया है तो जो ठहरा है शौहर को दे और उस के अलावा शौहर कुछ नहीं ले सकता है **और महर** औरत को नहीं मिला है तो अब औरत महर का मुतालबा नहीं कर सकती और जो ठहरा है शौहर को दे **और अगर** ग़ैर मदखूला(यानी जिस से जिमाअ् न किया गया हो) है और पूरा महर ले चुकी है तो शौहर निस्फ़ महर का दअ्वा नहीं कर सकता और महर औरत को नहीं मिला है तो औरत निस्फ़ महर का शौहर पर दअ्वा नहीं कर सकती और दोनों सूरतों में जो ठहरा है देना होगा और अगर महर पर खुलअ् हुआ और महर ले चुकी है तो महर वापस करे और महर नहीं लिया है तो शौहर से महर साक़ित हो गया और औरत से कुछ नहीं ले सकता **और अगर** मसलन महर के दसवें हिस्से पर खुलअ् हुआ और महर मसलन हज़ार रुपये का है और औरत मदखूला है और कुल महर ले चुकी है तो शौहर उस से सौ रुपये लेगा और महर बिल्कुल नहीं लिया है तो शौहर से कुल महर साक़ित हो गया और **अगर औरत** ग़ैर मुदखूला है और महर ले चुकी है तो शौहर उस से पचास रुपये ले सकता है **और औरत** को कुछ महर नहीं मिला है तो कुल साक़ित हो गया (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत का जो महर शौहर पर है उसके बदले में खुलअ् हुआ फिर मालूम हुआ कि औरत का कुछ महर शौहर पर नहीं तो औरत को महर वापस करना होगा यूँही अगर उस असबाब के बदले में खुलअ् हुआ जो औरत का मर्द के पास है फिर मालूम हुआ कि उस का असबाब उसके पास कुछ नहीं है तो महर के बदले में खुलअ् क़रार पायेगा महर ले चुकी है तो वापस करे और शौहर पर बाक़ी है तो साक़ित (खानिया)

मसअ्ला :– जो महर औरत का शौहर पर है उस के बदले में खुलअ् हुआ या तलाक़ और शौहर को मालूम है कि उस का कुछ मुझ पर नहीं चाहिए तो उस से कुछ नहीं ले सकता है खुलअ् की सूरत में तलाक़ बाइन होगी और तलाक़ की सूरत में रजई (खानिया)

मसअ्ला :– यूँ खुलअ् हुआ कि जो कुछ शौहर से लिया है वापस करे और औरत ने जो कुछ लिया था फ़रोख़्त कर डाला हिबा कर के क़ब्ज़ा दिला दिया कि वह चीज़ शौहर को वापस नहीं कर सकती तो अगर वह चीज़ क़ीमती है तो उस की क़ीमत दे और मिस्ली (उस जैसी) है तो उस की मिस्ल (खानिया)

मसअ्ला :– औरत को तलाक़ बाइन देकर फ़िर उस से निकाह किया फिर महर पर खुलअ् हुआ तो दूसरा महर साक़ित हो गया पहला नहीं (जौहरा नय्यरा)

मसअ्ला :– बग़ैर महर निकाह हुआ था और दुखूल से पहले खुलअ् हुआ तो मतआ (जोड़ा) साक़ित और अगर औरत ने माले मुअय्यन पर खुलअ् किया उस के बाद बदले खुलअ् में ज़्यादती की तो यह ज़्यदती बातिल है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– खुलअ् उस पर हुआ कि किसी औरत से ज़ौजा (बीवी)अपनी तरफ़ से निकाह करा दे और उस का महर ज़ौजा दे तो ज़ौजा पर सिर्फ़ वह महर वापस करना होगा जो ज़ौज (शौहर) से

ले चुकी है और कुछ नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– शराब व ख़िन्ज़ीर व मुर्दार वग़ैरा ऐसी चीज़ पर ख़ुलअ् हुआ जो माल नहीं तो तलाक़ पड़गई और औरत पर कुछ वाजिब नहीं और अगर उन चीज़ों के बदले में तलाक़ दी तो रजई वाक़ेअ् हुई **यूँहीं अगर** औरत ने यह कहा मेरे हाथ में जो कुछ है उस के बदले में ख़ुलअ् कर और हाथ में कुछ न था तो कुछ वाजिब नहीं और अगर यूँ कहा कि उस माल के बदले में जो मेरे हाथ में है और हाथ में कुछ न हो तो अगर महर ले चुकी है तो वापस करे वरना महर साक़ित हो जायेगा और उस के अलावा कुछ देना नहीं पड़ेगा **यूँहीं अगर** शौहर ने कहा मैंने ख़ुलअ् किया उस के बदले में जो मेरे हाथ में है और हाथ में कुछ न हो तो कुछ नहीं. **और हाथ** में जवाहिरात हों तो औरत पर देना लाज़िम होगा अगर्चे औरत को यह मालूम न था कि उस के हाथ में क्या है(दुर्रे मुख़्तार जौहरा)

मसअ्ला :– मेरे हाथ में जो रुपये हैं उन के बदले में ख़ुलअ् कर और हाथ में कुछ नहीं तो तीन रुपये देने होंगे (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा) मगर उर्दू में चूँकि जमअ् दो पर भी बोलते हैं लिहाज़ा दो ही रुपये लाज़िम होंगे और सूरते मज़कूरा में अगर हाथ में एक ही रुपया है जब भी दो दे

मसअ्ला :– अगर यह कहा कि उस घर में या उस सन्दूक़ में जो माल या रुपये हैं उन के बदले में ख़ुलअ् कर और हक़ीक़तन उन में कुछ न था तो यह भी उसी के मिस्ल है कि हाथ में कुछ न था **यूँही अगर** यह कहा कि उस जारिया या बकरी के पेट में जो है उस के बदले में और कमतर मुद्दते हम्ल में न जनी तो मुफ़्त तलाक़ वाक़ेअ् हो गई और कमतर मुद्दते हमल में जनी तो वह बच्चा ख़ुलअ् के बदले मिलेगा। **कमतर मुद्दते हमल** औरत में छः महीने है और बकरी में चार महीने और दूसरे चौपायों में भी वही छः महीने **यूँहीं अगर** कहा उस दरख़्त में जो फल हैं उन के बदले और दरख़्त में फल नहीं तो महर वापस करना होगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– कोई जानवर घोड़ा, ख़च्चर, बैल वग़ैरा, बदले ख़ुलअ् क़रार दिया और उस की सिफ़त भी बयान कर दी तो औसत दर्जे का देना वाजिब आयेगा और औरत को यह भी इख़्तियार है कि उस की क़ीमत देदे और जानवर की सिफ़त न बयान की हो तो जो कुछ महर में ले चुकी है वह वापस करे (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत से कहा मैं ने तुझ से ख़ुलअ् किया औरत ने कहा मैंने क़बूल किया तो अगर वह लफ़्ज़ शौहर ने बनियते तलाक़ कहा था तलाक़ बाइन वाक़ेअ् होगई और महर साक़ित न होगा बल्कि अगर औरत ने क़बूल न किया हो जब भी यही हुक्म है और अगर शौहर यह कहता है कि मैं ने तलाक़ की नियत से न कहा था तो तलाक़ वाक़ेअ् न होगी जब तक औरत क़बूल न करे **और अगर** यह कहा था कि फ़ुलाँ चीज़ के बदले मैंने तुझ से ख़ुलअ् किया तो जब तक औरत क़बूल न करेगी, तलाक़ वाक़ेअ् न होगी और औरत के क़बूल करने के बाद अगर शौहर कहे कि मेरी मुराद तलाक़ न थी तो उस की बात न मानी जाये (ख़ानिया वग़ैरा)

मसअ्ला :– भागे हुए गुलाम के बदले में ख़ुलअ् किया और औरत ने यह शर्त लगा दी कि मैं उस की ज़ामिन नहीं यानी अगर मिल गया तो दे दूँगी और न मिला तो उस का तावान मेरे ज़िम्मे नहीं तो ख़ुलअ् सहीह है और शर्त बातिल यानी अगर न मिला तो औरत उस की क़ीमत दे और अगर यह शर्त लगाई कि अगर उस में कोई ऐब हो तो मैं बरी हूँ तो शर्त सहीह है (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार) जानवर गुम शुदा के बदले में हो जब भी यही हुक्म है।

मसअ्ला :– औरत ने **शौहर से कहा हज़ार** रुपये पर मुझ से ख़ुलअ् कर शौहर ने कहा तुझ को

तलाक़ है तो यह उस का जवाब समझा जायेगा **हाँ अगर** शौहर कहे कि मैंने जवाब की नियत से न कहा था तो उस का कौल मान लिया जायेगा और तलाक़ मुफ़्त वाक़ेअ् होगी **और बेहतर** यह है कि पहले ही शौहर से दरयाफ़्त कर लिया जाये यूँही अगर औरत कहती है मैंने खुलअ् तलब किया था और कहता है मैंने तुझे तलाक़ दी थी तो शौहर से दरयाफ़्त करें अगर उस ने जवाब में कहा था तो खुलअ् है वरना तलाक़ (खानिया)

मसअ्ला :– ख़रीद व फ़रोख़्त के लफ़्ज़ से भी खुलअ् होता है मसलन मर्द ने कहा मैंने तेरा अम्र या तेरी तलाक़ तेरे हाथ इतने को बेची औरत ने उसी मज्लिस में कहा मैंने कबूल की तलाक़ वाक़ेअ् होगई **यूँहीं अगर** महर के बदले में बेची और उस ने कबूल की हाँ अगर उस का महर शौहर पर बाक़ी न था और यह बात शौहर को मालूम थी फिर महर के बदले बेची तो तलाक़े रजई होगी(खानिया)

मसअ्ला :– लोगों ने औरत से कहा तूने अपने नफ़्स को महर व नफ़्क़ा–ए–इद्दत के बदले ख़रीदा औरत ने कहा हाँ ख़रीदा फिर शौहर से कहा तूने बेचा उस ने कहा हाँ तो खुलअ् हो गया और शौहर तमाम हुकूक़ से बरी हो गया **और अगर** खुलअ् कराने के लिए लोग जमअ् हुए और अल्फ़ाज़े मज़कूरा (यही अलफ़ाज़)दोनों से कहला अब शौहर कहता है मेरे ख़्याल में यह था कि किसी माल की ख़रीद व फ़रोख़्त हो रही है जब भी तलाक़ का हुक्म देंगे (आलमगीरी)

मसअ्ला :– लफ़्ज़े बैअ् से खुलअ् हो तो उस से औरत के हुकूक़ साक़ित न होंगे जब तक यह ज़िक्र न हो कि उन हुकूक़ के बदले बेचा (खानिया)

मसअ्ला :– शौहर ने औरत से कहा तूने अपने महर के बदले मुझ से तीन तलाक़ें ख़रीदीं औरत ने कहा ख़रीदीं तो तलाक़ वाक़ेअ् न होगी जब तक मर्द उस के बाद यह न कहे कि मैंने बेचीं और अगर शौहर ने पहले यह लफ़्ज़ कहे कि महर के बदले मुझ से तीन तलाक़ें ख़रीद और औरत ने कहा ख़रीदीं तो वाक़ेअ् होगईं अगर्चे शौहर ने बाद में बेचने का लफ़्ज़ न कहा (खानिया)

मसअ्ला :– औरत ने शौहर से कहा मैंने अपना महर और नफ़्क़ा–ए–इद्दत तेरे हाथ बेचा तूने ख़रीदा शौहर ने कहा मैंने ख़रीदा उठ जा। वह चली गई तो तलाक़ वाक़ेअ् न हुई मगर एहतियात यह है कि अगर पहले दो तलाक़ें न दे चुका हो तो तजदीदे निकाह करे (खानिया)

मसअ्ला :– औरत से कहा मैंने तेरे हाथ एक तलाक़ बेची और एवज़ का ज़िक्र न किया औरत ने कहा मैंने ख़रीदी तो रजई पड़ेगी और अगर यह कहा कि मैंने तुझे तेरे हाथ बेचा और औरत ने कहा ख़रीदा तो बाइन पड़ेगी (खानिया)

मसअ्ला :– औरत से कहा मैंने तेरे हाथ तीन हज़ार को तलाक़ बेची उस को तीन बार कहा आख़िर में औरत ने कहा मैंने ख़रीदी फिर शौहर यह कहता है कि मैंने तकरार के इरादे से तीन बार कहा था तो कज़ाअन उस का कौल मोअ्तबर नहीं और तीन तलाक़ें वाक़ेअ् हो गयीं और औरत को सिर्फ़ तीन हज़ार देने होंगे नौ हज़ार नहीं कि पहली तलाक़ तीन हज़ार के एवज़ हुई और अब दूसरी और तीसरी पर माल वाजिब नहीं हो सकता और चूँकि सरीह हैं लिहाज़ा बाइन को लाहिक़ होंगी (खानिया)

मसअ्ला :– माल के बदले में तलाक़ दी और औरत ने कबूल कर लिया तो माल वाजिब होगा और तलाक़ बाइन वाक़ेअ् होगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत ने कहा हज़ार रुपये के एवज़ मुझे तीन तलाक़ें देदे शौहर ने उसी मज्लिस में

एक तलाक़ दी तो बाइन वाक़ेअ़ हुई और हज़ार की तिहाई का मुस्तहक़ है और मज्लिस से उठ गया फिर तलाक़ दी तो बिला मुआवज़ा वाक़ेअ़ होगी और अगर औरत के उस कहने से पहले दो तलाक़ें दे चुका था और अब एक दी तो पूरे हज़ार पायेगा और अगर औरत ने कहा था कि हज़ार रुपये पर तीन तलाक़ें दे और एक दी तो रजई हुई और अगर इस सूरत में मज्लिस में तीन तलाक़ें मुतफ़र्रिक़ कर के दीं तो हज़ार पायेगा और तीन मज्लिसों में दीं तो कुछ नहीं पायेगा (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– शौहर ने औरत से कहा हज़ार के एवज़ या हज़ार रुपये पर तू अपने को तीन तलाक़ें दे दे औरत ने एक तलाक़ दी तो वाक़ेअ़ न हुई (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औरत से कहा हज़ार के एवज़ या हज़ार रुपये पर तुझ को तलाक़ है औरत ने उसी मज्लिस में कबूल कर लिया तो हज़ार रूपये वाजिब हो गये और तलाक़ हो गई हाँ अगर औरत सफ़ीहा (बेवकूफ़) है या कबूल करने पर मजबूर की गई तो बग़ैर माल तलाक़ पड जायेगी और अगर मरीज़ा है तो तिहाई से यह रकम अदा की जायेगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अपनी दो औरतों से कहा तुम में एक को हज़ार रुपये के एवज़ तलाक़ है और दूसरी को सौ अशरफ़ियों के बदले और दोनों ने क़बूल कर लिया तो दोनों मुतल्लक़ा हो गयीं और किसी पर कुछ वाजिब नहीं हाँ अगर शौहर दोनों से रुपये लेने पर राज़ी हो तो रुपये लाज़िम होंगे और राज़ी न हो तो मुफ़्त मगर उस सूरत में रजई होगी (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार) और अगर यूँ कहा कि एक को हज़ार रुपये पर तलाक़ और दूसरी को पाँच सौ रुपये पर तो दोनों मुतल्लक़ा हो गईं और हर एक पर पाँच पाँच सौ लाज़िम (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत ग़ैर मदख़ूला को हज़ार रुपये पर तलाक़ दी और उस का महर तीन हज़ार का था जो सब अभी शौहर के ज़िम्मे है तो डेढ़ हज़ार तो यूँ साक़ित हो गये कि क़ब्ल दुख़ूल दी है बाक़ी रहे डेढ़ हज़ार उन में हज़ार तलाक़ के बदले वज़अ़ हुए और पाँच सौ शौहर से वापस ले (आलमगीरी)

मसअ्ला :– महर की एक तिहाई के बदले तलाक़ दी और दूसरी तिहाई के बदले दूसरी और तीसरी के बदले तीसरी तो सिर्फ़ पहली तलाक़ के एवज़ एक तिहाई साक़ित हो जायेगी और दो तिहाइयाँ शौहर पर वाजिब हैं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत को चार तलाक़ें हज़ार रुपये के एवज़ दीं उस ने क़बूल कर लीं तो हज़ार के बदले में तीन ही वाक़ेअ़ होंगी और अगर हज़ार के बदले में तीन क़बूल कीं तो कोई वाक़ेअ़ न होगी और अगर औरत ने शौहर से हज़ार के बदले में चार तलाक़ें देने को कहा और शौहर ने तीन दीं तो यह तीन तलाक़ें हज़ार के बदले में होगयीं और एक दी तो एक हज़ार की तिहाई के बदले में। (फ़त्ह)

मसअ्ला :– औरत ने कहा हज़ार रुपये पर या हज़ार के बदले में मुझे एक तलाक़ दे शौहर ने कहा तुझ पर तीन तलाक़ें और बदले को ज़िक्र न किया तो बिला मुआविज़ा तीन हो गईं और अगर शौहर ने हज़ार के बदले में तीन दीं तो औरत के क़बूल करने पर मौक़ूफ़ है क़बूल न किया कुछ नहीं और क़बूल किया तो तीन तलाक़ें हज़ार के बदले में हुईं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत से कहा तुझ पर तीन तलाक़ें हैं जब तू मुझे हज़ार रुपये दे तो फ़क़त उस कहने से तलाक़ वाक़ेअ़ न होगी बल्कि जब औरत हज़ार रुपये देगी यानी शौहर के सामने लाकर रख देगी उस वक़्त तलाक़ें वाक़ेअ़ होंगी अगर्चे शौहर लेने से इन्कार करे और शौहर रुपये लेने पर

मजबूर नहीं किया जायेगा (आलमगीरी)

मसअला :– दोनों राह चल रहे हैं और खुलअ् किया अगर हर एक का कलाम दूसरे के कलाम से मुत्तसिल (मिला हुआ) है तो खुलअ् सहीह है वरना नहीं और इस सूरत में तलाक़ भी वाक़ेअ् नहीं होगी (आलमगीरी)

मसअला :– औरत कहती है मैंने हज़ार के बदले तीन तलाक़ों को कहा था और तूने एक दी और शौहर कहता है तू ने एक ही को कहा था तो अगर शौहर गवाह पेश करे तो ठीक वरना औरत का क़ौल मोअ्तबर है (आलमगीरी)

मसअला :– शौहर कहता है मैंने हज़ार रुपये तुझे तलाक़ दी तूने कबूल न किया औरत कहती है मैंने कबूल किया था तो क़सम के साथ शौहर का क़ौल मोअ्तबर है और अगर शौहर कहता है मैंने हज़ार रुपये पर तेरे हाथ तलाक़ बेची तूने कबूल न की औरत कहती है मैंने कबूल की थी तो औरत का क़ौल मोअ्तबर है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत कहती है मैंने सौ रुपये में तलाक़ देने को कहा था शौहर कहता है नहीं बल्कि हज़ार के बदले तो औरत का क़ौल मोअ्तबर है और दोनों ने गवाह पेश किये तो शौहर के गवाह क़बूल किए जायें यूँही अगर औरत कहती है बग़ैर किसी बदले के खुलअ् हुआ और शौहर कहता है नहीं बल्कि बल्कि हज़ार रुपये के बदले में तो औरत का क़ौल मोअ्तबर है और गवाह शौहर के मक़बूल (आलमगीरी)

मसअला :– औरत कहती है मैंने हज़ार के बदले में तीन तलाक़ को कहा था तूने एक दी शौहर कहता है मैं ने तीन दीं अगर उसी मज्लिस की बात है तो शौहर का क़ौल मोअ्तबर है और वह मज्लिस न हो तो औरत का और औरत पर हज़ार की तिहाई वाजिब मगर इद्दत पूरी नहीं हुई है तो तीन तलाक़ें हो गयीं (आलमगीरी)

मसअला :– औरत ने खुलअ् चाहा फिर यह दअ्वा किया कि खुलअ् से पहले बाइन तलाक़ दे चुका था और उस के गवाह पेश किए तो गवाह मक़बूल हैं और बदले खुला वापस किया जाये(आलमगीरी)

मसअला :– शौहर दअ्वा करता है कि इतने पर खुलअ् हुआ औरत कहती है खुलअ् हुआ ही नहीं तो तलाक़ बाइन वाक़ेअ् हो गई रहा माल उस में औरत का क़ौल मोअ्तबर है कि वह मुन्किर है और अगर औरत खुलअ् का दअ्वा करती है और शौहर मुन्किर है तो तलाक़ वाक़ेअ् न होगी(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– ज़न व शौहर में इख़्तिलाफ़ हुआ औरत कहती है तीन बार खुलअ् हो चुका और मर्द कहता है कि दो बार अगर यह इख़्तिलाफ़ निकाह हो जाने के बाद हुआ और औरत का मतलब यह है कि निकाह सहीह न हुआ उस वास्ते कि तीन तलाक़ें हो चुकीं अब बग़ैर हलाला निकाह नहीं हो सकता और मर्द की ग़र्ज़ यह है कि निकाह सहीह हो गया उस वास्ते कि दो ही तलाक़ें हुई हैं तो इस सूरत में मर्द का क़ौल मोअ्तबर है और अगर निकाह से पहले इद्दत में या बाद इद्दत यह इख़्तिलाफ़ हुआ तो उस सूरत में निकाह करना जाइज़ नहीं दूसरे लोगों को भी यह जाइज़ नहीं कि औरत को निकाह पर आमादा (तैयार) करें न निकाह होने दें (आलमगीरी)

मसअला :– मर्द ने किसी से कहा कि तू मेरी औरत से खुलअ् कर तो उस को यह इख़्तियार नहीं कि बग़ैर माल खुलअ् करे (आलमगीरी)

मसअला :– औरत ने किसी को हज़ार रुपये पर खुलअ् के लिए वकील बनाया तो अगर वकील ने

बदले खुलअ् मुतलक़ रखा मसलन यह कहा कि हज़ार रुपये पर खुलअ् कर या उस हज़ार पर या वकील ने अपनी तरफ़ इज़ाफ़त की मसलन यह कहा कि मेरे माल से हज़ार रुपये पर या कहा हज़ार रुपये पर और मैं हज़ार रुपये का ज़ामिन हूँ तो दोनों सूरतों में वकील के कबूल करने से खुलअ् हो जायेगा फिर अगर रुपये मुतलक़ हैं जब तो शौहर औरत से लेगा वरना वकील से बदले खुलअ् का मुतालबा करेगा औरत से नहीं फिर वकील औरत से लेगा और अगर वकील के असबाब (सामान)के बदले खुलअ् किया और असबाब हलाक हो गये तो वकील उन की क़ीमते ज़मान दे (आलमगीरी)

मसअ्ला :— मर्द ने किसी से कहा कि तू मेरी औरत को तलाक़ देदे उस ने माल पर खुलअ् किया माल पर तलाक़ दी और औरत मदख़ूला है तो जाइज़ नहीं और ग़ैर मदख़ूला है तो जाइज़ है(आलमगीरी)

मसअ्ला :— औरत ने किसी को खुलअ् के लिए वकील किया फिर रुजूअ् कर गई और वकील को रुजूअ् का हाल मालूम न हुआ तो रुजूअ् सहीह नहीं और अगर क़ासिद भेजा था और उस के पहुँचने से क़ब्ल रुजूअ् कर गई तो रुजूअ् सहीह है अगर्चे क़ासिद को उस की इत्तिलाअ् न हुई(आलमगीरी)

मसअ्ला :— लोगों ने शौहर से कहा तेरी औरत ने खुलअ् का हमें वकील बनाया शौहर ने दो हज़ार पर खुलअ् किया औरत वकील बनाने से इन्कार करती है तो अगर वह लोग माल के ज़ामिन हुए थे तो तलाक़ हो गई और बदले खुलअ् उन्हें देना होगा और अगर ज़ामिन न हुए थे और ज़ौज (शौहर) दअ्वेदार है कि औरत ने उन्हें वकील किया था तो तलाक़ होगई मगर माल वाजिब नहीं और अगर ज़ौज (शौहर) वकालत का दअ्वेदार न हो तो तलाक़ न होगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला :— बाप ने लड़की का उस के शौहर से खुलअ् कराया अगर लड़की बालिग़ा है और बाप बदले खुलअ् का ज़ामिन हुआ तो खुलअ् सहीह है और अगर महर पर खुलअ् हुआ और लड़की ने इज़्न दिया था जब भी सहीह है और अगर बग़ैर इज़्न हुआ और ख़बर पहुँचने पर जाइज़ कर दिया जब भी हो गया और अगर जाइज़ न किया न बाप ने महर की ज़मानत की तो न हुआ और महर की ज़मानत की है तो होगया फिर जब लड़की को ख़बर पहुँची उस ने जाइज़ कर दिया तो शौहर महर से बरी है और जाइज़ न किया तो औरत शौहर से महर लेगी और शौहर उस के बाप से और अगर नाबालिग़ा लड़की का उस लड़की के माल पर खुलअ् कराया तो सहीह यह है कि तलाक़ हो जायेगी मगर न तो महर साक़ित होगा न लड़की पर माल वाजिब होगा और अगर हज़ार रुपये पर नाबालिग़ा का खुलअ् हुआ और बाप ने ज़मानत की तो होगया और रुपये बाप को देने होंगे और अगर बाप ने यह शर्त की बदले खुलअ् लड़की देगी तो अगर लड़की समझदार है यह समझती है कि खुलअ् निकाह से जुदा कर देता है तो उस के कबूल पर मौकूफ़ है कबूल कर लेगी तो तलाक़ वाक़ेअ् हो जायेगी मगर माल वाजिब न होगा और अगर नाबलिग़ा की माँ ने अपने माल से खुलअ् कराया या ज़ामिन हुई तो खुलअ् हो जायेगा और लड़की के माल से कराया तो तलाक़ न होगी यूँहीं अगर अजनबी ने खुलअ् कराया तो यही हुक्म है (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार, वग़ैराहुमा)

मसअ्ला :— नाबालिग़ा ने अपना खुलअ् खुद कराया और समझदार है तो तलाक़ वाक़ेअ् हो जायेगी मगर माल वाजिब न होगा और अगर माल के बदले तलाक़ दिलवाई तो तलाक़ रजई होगी (आलमगीरी, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :— नाबालिग़ा लड़का न खुद खुलअ् कर सकता है न उस की तरफ़ से उस का बाप(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :— औरत ने अपने मर्ज़ुल मौत में खुलअ् कराया और इद्दत में मर गई तो तिहाई माल और

मीरास और बदले खुलअ़ उन तीनों में जो हुक्म है शौहर वह पायेगा और अगर उस बदले खुलअ़ के अ़लावा कोई माल ही न हो तो उस की तिहाई और मीरास में जो कम है वह पायेगा और अगर इद्दत के बाद मरी तो बदले खुलअ़ ले लेगा जबकि तिहाई माल के अन्दर हो और औ़रत ग़ैर मदख़ूला है और मर्ज़ुल मौत में पूरे महर के बदले खुलअ़ हुआ तो आधा महर तलाक़ की वजह से साकित है रहा निस्फ़ (आधा) अब अगर औ़रत के और माल नहीं है तो उस निस्फ़ की चौथाई का शौहर हक़दार है (आलमगीरी रद्दुल मुहतार)

ज़िहार का बयान

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है

ٱلَّذِينَ يُظٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهٰتِهِمْ ؕ إِنْ أُمَّهٰتُهُمْ إِلَّا ٱلّٰٓـِٔى وَلَدْنَهُمْ ؕ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ؕ وَإِنَّ ٱللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۝

तर्जमा :– "जो लोग तुम में से अपनी औ़रतों से ज़िहार करते हैं (उन्हें माँ की तरह कह देते) वह उन की मायें नहीं उनकी मायें तो वही हैं जिन से पैदा हुए और वह बेशक बुरी और निरी झूटी बात कहते हैं और बेशक अल्लाह ज़रूर मुआफ़ करने वाला बख़्शने वाला है।"

मसअ्ला :– ज़िहार के यह मअ़ना हैं कि अपनी ज़ौजा या उस के किसी जुज़ व शाइअ़ (हिस्से) या ऐसे जुज़ को जो कुल से तअ़बीर किया जाता हो ऐसी औ़रत से तश्बीह देना जो उस पर हमेशा के लिए हराम हो या उसके किसी ऐसे अ़ज़ू से तश्बीह देना जिस की तरफ़ देखना हराम हो मसलन कहा तू मुझपर मेरी माँ की मिस्ल है या तेरा सर या तेरी गर्दन या तेरा निस्फ़ मेरी माँ की पीठ की मिस्ल है।

मसअ्ला :– ज़िहार के लिए इस्लाम व अ़क़्ल व बुलूग़ शर्त है काफ़िर ने अगर कहा तो ज़िहार न हुआ यानी अगर कहने के बाद मुशर्रफ़ बइस्लाम हुआ तो उस पर कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं यूँहीं नाबालिग़ व मजनून या बोहरे या मदहोश या सरसाम व बरसाम के बीमार ने या बेहोश या सोने वाले ने ज़िहार किया तो ज़िहार न हुआ और हँसी मज़ाक़ में या नशा में या मजबूर किया गया उस हालत में या ज़बान से ग़लती में ज़िहार का लफ़्ज़ निकल गया तो ज़िहार है (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला :– ज़ौजा की जानिब से कोई शर्त नहीं आज़ाद हो या बान्दी मुदब्बरा या मुकातबा या उम्मे वलद मदख़ूला हो या ग़ैर मदख़ूला मुस्लिमा हो या किताबिया नाबालिग़ा हो या बालिग़ा बल्कि अगर औ़रत ग़ैर किताबिया है और उसका शौहर इस्लाम लाया मगर अभी औ़रत पर इस्लाम पेश नहीं किया गया था कि शौहर ने ज़िहार किया तो ज़िहार हो गया औ़रत मुसलमान हुई तो शौहर पर कफ़्फ़ारा देना होगा (आलमगीरी रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अपनी बान्दी से ज़िहार नहीं हो सकता मौतूह हो या ग़ैर मौतूह यूँहीं अगर किसी औ़रत से बिग़ैर इज़्न लिए निकाह और ज़िहार किया फिर औ़रत ने निकाह को जाइज़ कर दिया तो ज़िहार न हुआ कि वक़्ते ज़िहार वह ज़ौजा न थी यूँही जिस औ़रत को तलाक़ बाइन दे चुका है या ज़िहार को किसी शर्त पर मुअ़ल्लक़ किया और वह शर्त उस वक़्त पाई गई कि औ़रत को बाइन तलाक़ देदी तो उन सूरतों में ज़िहार नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जिस औ़रत से तश्बीह दी अगर उस की हुरमत आ़रिज़ी है हमेशा के लिए नहीं तो ज़िहार नहीं मसलन ज़ौजा की बहन या जिस को तीन तलाक़ें दी हैं या मजूसी या बुत परस्त औ़रत कि यह मुसलमान या किताबिया हो सकती हैं और उनकी हुरमत दाइमी न होना ज़ाहिर (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अजनबिया से कहा कि अगर तू मेरी औ़रत हो या मैं तुझ से निकाह़ करूँ तो तू ऐसी है तो ज़िहार हो जायेगा कि मिल्क या सबबे मिल्क की त़रफ़ इज़ाफ़त हुई और यह काफ़ी है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :– औ़रत मर्द से ज़िहार के अल्फ़ाज़ कहे तो ज़िहार नहीं बल्कि लग़्व (बेकार) हैं (जौहरा)

मसअ्ला :– औ़रत के सर या चेहरा या गर्दन या शर्मगाह को मुह़ारिम से तश्बीह दी तो ज़िहार है और अगर औ़रत की पीठ या पेट या हाथ या पाँव या रान को तश्बीह दी तो नहीं यूँही अगर मुह़ारिम के ऐसे अ़ज़ू (हिस्से) से तश्बीह दी जिसकी त़रफ़ नज़र करना ह़राम न हो मसलन सर या चेहरा या हाथ या पाँव या बाल तो ज़िहार नहीं और घुटने से तश्बीह दी तो है (जौहरा, ख़ानिया वग़ैराहुमा)

मसअ्ला :– मुह़ारिम से मुराद आ़म है नसबी हों या रज़ाई या सुसराली रिश्ते से लिहाज़ा माँ बहन फूफी, लड़की और रज़ाई माँ और बहन वग़ैराहुमा और ज़ौजा की माँ और लड़की जबकि ज़ौजा मदख़ूला हो और मदख़ूला न हो तो उस की लड़की से तश्बीह देने में ज़िहार नहीं कि वह मुह़ारिम में नहीं यूँही जिस औ़रत से उस के बाप या बेटे ने मआ़ज़ल्लाह ज़िना किया है उस से तश्बीह दी या जिस औ़रत से उस ने ज़िना किया है उस की माँ या लड़की से तश्बीह दी तो ज़िहार है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुह़ारिम की पीठ या पेट या रान से तश्बीह दी या कहा मैंने तुझ से ज़िहार किया तो यह अल्फ़ाज़ स़रीह़ हैं उन में नियत की कुछ ह़ाजत नहीं कुछ भी नियत न हो या त़लाक़ की नियत हो या इकराम (इ़ज़्ज़त करने) की नियत हो हर ह़ालत में ज़िहार ही है और अगर यह कहता है कि मक़सूद झूटी ख़बर देना था या ज़माना–ए–गुज़िश्ता की ख़बर देना है तो क़ज़ाअन तस्दीक़ न करेंगे और औ़रत भी तस्दीक़ नहीं कर सकती (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला :– औ़रत को माँ या बेटी या बहन कहा तो ज़िहार नहीं मगर ऐसा कहना मकरूह है(आमलगीरी)

मसअ्ला :– औ़रत से कहा तू मुझ पर मेरी माँ की मिस्ल है तो नियत दरयाफ़्त की जाये अगर उस के एअ्ज़ाज़ (इ़ज़्ज़त) के लिए कहा तो कुछ नहीं और त़लाक़ की नियत है तो बाइन त़लाक़ वाक़ेअ् होगी और ज़िहार की नियत है तो ज़िहार है और तह़रीम की नियत है तो ईला है और कुछ नियत न हो तो कुछ नहीं। (जौहरा नय्यिरा) अपनी चन्द औ़रतों को एक मज्लिस या मुतअ़द्दिद मजालिस में मुह़ारिम के साथ तश्बीह दी तो सब से ज़िहार हो गया हर एक के लिए अलग अलग कफ़्फ़ारा देना होगा (जौहरा)

मसअ्ला :– किसी ने अपनी औ़रत से ज़िहार किया था दूसरे ने अपनी औ़रत से कहा तू मुझ पर वैसी है जैसी फ़लाँ की औ़रत तो यह भी ज़िहार हो गया या एक औ़रत से ज़िहार किया था दूसरी से कहा तू मुझ पर उस की मिस्ल है या कहा मैंने तुझे उस के साथ शरीक कर दिया तो दूसरी से भी ज़िहार हो गया (आलमगीरी)

मसअ्ला :– ज़िहार की तअ़लीक़ भी हो सकती है मसलन अगर फ़ुलाँ के घर गई तो ऐसी है तो ज़िहार हो जायेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– ज़िहार का हुक्म यह है कि जब तक कफ़्फ़ारा न देदे उस वक़्त तक उस औ़रत से जिमाअ् करना शहवत के साथ उस का बोसा लेना या उस को छूना या उस की शर्मगाह की त़रफ़ नज़र करना ह़राम है और बग़ैर शहवत छूने या बोसा लेने में ह़र्ज नहीं मगर लब का बोसा बग़ैर शहवत भी जाइज़ नहीं कफ़्फ़ारा से पहले जिमाअ् कर लिया तो तौबा करे और उस के लिए कोई दूसरा कफ़्फ़ारा वाजिब न हुआ मगर ख़बरदार फिर ऐसा न करे और औ़रत को भी यह जाइज़ नहीं कि शौहर को क़ुर्बत करने दे (जौहरा, दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– ज़िहार के बाद औरत को तलाक़ दी फिर उस से निकाह किया तो अब भी वह चीज़ें हराम हैं अगर्चे दूसरे शौहर के बाद उसके निकाह में आई बल्कि अगर्चे उसे तीन तलाकें दी हों यूँहीं अगर ज़ौजा किसी की कनीज़ थी ज़िहार के बाद ख़रीद ली और अब निकाह बातिल हो गया मगर बग़ैर कफ़्फ़ारा वती वग़ैरा नहीं कर सकता यूँहीं अगर औरत मुरतद हो गई और दारुलहर्ब को चली गई फिर कैद कर के लाई गई और शौहर ने ख़रीदी या शौहर मुरतद हो गया ग़र्ज़ किसी तरह कफ़्फ़ारा से बचाव नहीं (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला :– अगर ज़िहार किसी ख़ास वक़्त तक के लिए है मसलन एक माह या एक साल और उस मुद्दत के अन्दर जिमाअ् करना चाहे तो कफ़्फ़ारा दे और अगर मुद्दत गुज़र गई और कुर्बत न की तो कफ़्फ़ारा साकित और ज़िहार बातिल (जौहरा)

मसअला :– शौहर कफ़्फ़ारा नहीं देता तो औरत को यह हक है कि क़ाज़ी के पास दअ्वा करे क़ाज़ी मजबूर करेगा कि या कफ़्फ़ारा देकर कुर्बत करे या औरत को तलाक़ दे और अगर कहता है कि मैंने कफ़्फ़ारा दे दिया है तो उस का कहना मान लें जबकि उस का झूटा होना मअ्रुफ़ न हो (आलमगीरी)

मसअला :– एक औरत से चन्द बार ज़िहार किया तो उतने ही कफ़्फ़ारे दे अगर्चे एक ही मज्लिस में मुतअ़द्दिद बार अल्फ़ाज़े ज़िहार कहे और अगर यह कहता है कि बार बार लफ़्ज़ बोलने से मुतअ़द्दिद ज़िहार मक़सूद न थे बल्कि ताकीद मक़सूद थी तो अगर एक ही मज्लिस में ऐसा हुआ मान लेंगे वरना नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– पूरे रजब और पूरे रमज़ान के लिए ज़िहार किया तो एक ही कफ़्फ़ारा वाजिब होगा ख़्वाह रजब में कफ़्फ़ारा दे या रमज़ान में शअ्बान में नहीं दे सकता कि शअ्बान में ज़िहार ही नहीं यूँहीं अगर ज़िहार किया और किसी दिन का इस्तिसना किया तो उस दिन का कफ़्फ़ारा नहीं दे सकता उस के अलावा जिस दिन चाहे दे सकता है (दुर्रे मुख़्तार)

कफ़्फ़ारा का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है।

وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ط ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ٥ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ط فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ط وَ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ط وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ٥

तर्जमा :–" जो लोग अपनी औरतों से ज़िहार करें फिर वही करना चाहें जिस पर यह बात कह चुके तो उन पर जिमाअ् से पहले एक गुलाम आज़ाद करना ज़रूरी है यह वह बात है जिस की तुम्हें नसीहत दी जाती है और जो कुछ तुम करते हो ख़ुदा उस से ख़बरदार है फिर जो गुलाम आज़ाद करने की ताक़त न रखता हो तो लगातार दो महीने के रोज़े जिमाअ् से पहले रखे फिर जो उस की भी इस्तिताअ़त न रखे तो साठ मिस्कीनों को खाना खिलाये यह इस लिए कि तुम अल्लाह व रसूल पर ईमान रखो और यह अल्लाह की हदें हैं और काफ़िरों के लिए दर्द नाक अ़ज़ाब"

तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व इब्ने माजा ने रिवायत की कि सल्मा इब्ने सख़्रबियाज़ी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने अपनी ज़ौजा से रमज़ान गुज़रने तक के लिए ज़िहार किया था और आधा गुज़रा कि शब में उन्होंने जिमाअ् कर लिया फिर हुज़ूर अक़्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हो कर अर्ज़ की इरशाद फ़रमाया एक गुलाम आज़ाद करो अर्ज़ की मुझे मयस्सर नहीं

इरशाद फ़रमाया दो माह के लगातार रोज़े रखो अर्ज़ की इस की भी ताक़त नहीं इरशाद फ़रमाया तो साठ मिस्कीनों को खाना खिलाओ अर्ज़ की मेरे पास इतना नहीं हुज़ूर ने फ़रदा इब्ने अम्र से फ़रमाया कि वह ज़मबील देदो कि मसाकीन को खिलाये।

मसअला :– ज़िहार करने वाला जिमाअ़ का इरादा करे तो कफ़्फ़ारा वाजिब है और अगर यह चाहे कि वती न करे और औरत उस पर हराम ही रहे कफ़्फ़ारा वाजिब नहीं और अगर इराद–ए–जिमाअ़ था मगर ज़ौजा मरगई तो वाजिब न रहा (आलमगीरी)

मसअला :– ज़िहार का कफ़्फ़ारा गुलाम या कनीज़ा आज़ाद करना है मुसलमान हो या काफ़िर बालिग हो या नाबालिग यहाँ तक कि अगर दूध पीते बच्चा को आज़ाद किया कफ़्फ़ारा अदा हो गया (आम्मए कुतुब)

मसअला :– पहले निस्फ़ गुलाम को आज़ाद किया और जिमाअ़ से पहले फिर निस्फ़ बाक़ी को आज़ाद किया तो कफ़्फ़ारा अदा हो गया और अगर दरमियान में जिमाअ़ कर लिया तो अदा न हुआ और अगर गुलाम मुश्तरक है और उस ने अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया तो अदा न हुआ अगर्चे मालदार हो यानी जब गुलाम मुश्तरक को आज़ाद करे और मालदार हो तो हुक्म यह है कि अपने शरीक को उस के हिस्से की बराबर दे और कुल गुलाम उस की तरफ़ से आज़ाद होगा मगर कफ़्फ़ारा अदा न होगा यूँहीं दो गुलामों में आधे का मालिक है और दोनों के निस्फ़ निस्फ़ को आज़ाद किया तो कफ़्फ़ारा अदा न हुआ (जौहरा आलमगीरी)

मसअला :– आधा गुलाम आज़ाद किया और एक महीने के रोज़े रख लिए या तीस मिस्कीन को खाना खिलादिया तो कफ़्फ़ारा अदा न हुआ (जौहरा)

मसअला :– गुलाम आज़ाद करने में शर्त यह है कि कफ़्फ़ारा की नियत से आज़ाद किया हो बग़ैर नियते कफ़्फ़ारा आज़ाद करने से कफ़्फ़ारा अदा न होगा अगर्चे आज़ाद करने की नियत किया करे (जौहरा)

मसअला :– उसका क़रीबी रिश्तेदार यानी वह कि अगर उन में से एक मर्द होता दूसरा औरत तो निकाह बाहम हराम होता मसलन उस का भाई या बाप या बेटा या चचा या भतीजा ऐसे रिश्तादार का जब मालिक होगा तो आज़ाद हो जायेगा ख़्वाह किसी तरह मालिक हो मसलन उस ने ख़रीद लिया या किसी ने हिबा या तसद्दुक़ किया या विरासत में मिला फिर ऐसा गुलाम अगर बिला इख़्तियार उस की मिल्क में आया मसलन विरासत में मिला और आज़ाद हो गया तो अगर्चे उस ने कफ़्फ़ारा की नियत की अदा न हुआ और अगर बाइख़्तियार खुद अपनी मिल्क में लाया (मसलन ख़रीदा)और जिस अ़मल के ज़रीआ से मिल्क में आया उस के पाये जाने के वक़्त (मसलन ख़रीदते वक़्त)कफ़्फ़ारा की नियत की तो कफ़्फ़ारा अदा हो गया (जौहरा वग़ैराहा)

मसअला :– जो गुलाम गिरवीं या मदयून है उसे आज़ाद किया तो कफ़्फ़ारा अदा हो गया यूँहीं अगर भागा हुआ है और यह मालूम है कि ज़िन्दा है तो आज़ाद करने से कफ़्फ़ारा अदा हो जायेगा और अगर बिलकुल उस का पता न मालूम हो न यह मालूम कि ज़िन्दा है या मर गया तो न होगा (आलमगीरी)

मसअला :– अगर गुलाम में किसी क़िस्म का ऐब है तो उस की दो सूरतें हैं एक यह कि वह ऐब उस क़िस्म का हो जिस से जिन्से मन्फ़अ़त फ़ौत होती है यानी देखने, सुनने, बोलने, पकड़ने, चलने की उस को कुदरत न हो या आ़क़िल न हो तो कफ़्फ़ारा अदा न होगा और दूसरे यह कि उस हद का नुक़सान नहीं तो हो जायेगा लिहाज़ा इतना बहरा कि चीख़ने से भी न सुने या गूँगा या अन्धा या मजनून कि किसी वक़्त उस को इफ़ाक़ा न होता हो या बोहरा या वह बीमार जिस के अच्छे होने की उम्मीद न हो या जिस के सब दाँत गिर गये हों और खाने से बिलकुल आ़जिज़ हो या जिस के दोनों हाथ कटे हों या हाथ के दोनों अँगुठे कटे हों या अलावा अँगूठे के हर हाथ की तीन तीन

उंगलियाँ या दोनों पाँवों या एक जानिब का एक हाथ और एक पाँव न हो या लुंझा या फ़लिज का मारा हो या दोनों हाथ बेकार हों तो इन सब के आज़ाद करने से कफ़्फ़ारा अदा न हुआ (दुर्रे मुख़्तार, जौहरा)

मसअ्ला :– अगर ऐसा बहरा है कि चीख़ने से सुन लेता है या मजनून है मगर कभी इफ़ाक़ा भी होता है और उसी हालते इफ़ाक़ा में आज़ाद या उस का एक हाथ या एक पाँव या एक हाथ एक पाँव ख़िलाफ़ से कटा हो यानी एक दहना दूसरा बायाँ या एक हाथ का अँगूठा या पाँवों के दोनों अँगूठे या हर हाथ की दो दो उंगलियाँ या दोनों होंट या दोनों कान या नाक कटी हो या उनसयैन या अज़्वे तनासुल कट गया हो या लौन्डी का आगे का मक़ाम बन्द हो या भौं या दाढ़ी या सर के बाल नहीं काना या चुन्धा हो या ऐसा बीमार हो जिस के अच्छे होने की उमीद है अगर्चे मौत का ख़ौफ़ हो या सफ़ेद दाग़ की बीमारी हो या नामर्द हो तो उन के आज़ाद करने से कफ़्फ़ारा अदा हो जायेगा (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला :– लौन्डी के शिकम में बच्चा है उस को कफ़्फ़ारा में आज़ाद किया तो न हुआ उस के गुलाम को किसी ने ग़सब किया उस मालिक ने आज़ाद कर दिया तो होगया और उम्मे वलद व मुदब्बर व मुकातिब जिस ने किताबत के बाद कुछ अदा न किया हो या कुछ अदा किया मगर पूरा अदा करने से आजिज़ हो गया तो उसे आज़ाद करने से कफ़्फ़ारा अदा हो गया (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अपना गुलाम दूसरे के कफ़्फ़ारा में आज़ाद कर दिया अगर उस के बग़ैर हुक्म है तो अदा न हुआ और अगर उस के कहने से मसलन उस ने कहा अपना गुलाम मेरी तरफ़ से आज़ाद कर दे और कोई एवज़ ज़िक्र न किया जब भी अदा न हुआ और अगर एवज़ का ज़िक्र है मसलन अपना गुलाम मेरी तरफ़ से इतने पर आज़ाद कर दे तो हो जायेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– ज़िहार के दो कफ़्फ़ारे उस के ज़िम्मे थें उस ने दो गुलाम आज़ाद किए और यह नियत न की कि फुलाँ गुलाम फुलाँ कफ़्फ़ारा में आज़ाद किया तो दोनों अदा हो गये (आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी गुलाम को कहा अगर मैं तुझे ख़रीदूँ तो तू आज़ाद है फिर उसे कफ़्फ़ारा–ए–ज़िहार की नियत से ख़रीदा तो आज़ाद होगा मगर कफ़्फ़ारा अदा न हुआ और अगर पहले कह दिया था कि अगर तुझे ख़रीदूँ तो मेरे ज़िहार में आज़ाद है तो हो जायेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जब गुलाम पर कुदरत है अगर्चे वह ख़िदमत का गुलाम हो तो कफ़्फ़ारा आज़ाद करने ही से होगा और अगर गुलाम की इस्तिताअत (ताक़त) न हो ख़्वाह मिलता नहीं या उसके पास दाम नहीं तो कफ़्फ़ारा में पै दरपे दो महीने के रोज़े रखे और अगर उस के पास ख़िदमत का गुलाम है या मदयून (कर्ज़दार) है और दैन (कर्ज़) अदा करने के लिए गुलाम के सिवा कुछ नहीं तो (ताक़त) इन सूरतों में भी रोज़े वग़ैरा से कफ़्फ़ारा अदा नहीं कर सकता बल्कि गुलाम ही आज़ाद करना होगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– रोज़े से कफ़्फ़ारा अदा करने में यह शर्त है कि न उस मुद्दत के अन्दर माहे रमज़ान हो न ईदुलफ़ित्र न ईदुज़्ज़ुहा न अय्यामे तशरीक़ हों अगर मुसाफ़िर है तो माहे रमज़ान में कफ़्फ़ारा की नियत से रोज़ा रख सकता है मगर अय्यामे मनहिय्या (जिन दिनों में रोज़ा रखना मना है) में उसे भी इजाज़त नहीं (जौहरा, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– रोज़े अगर पहली तारीख़ से रखे तो दूसरे महीने के ख़त्म पर कफ़्फ़ारा अदा हो गया अगर्चे दोनों महीने 29 के हों और अगर पहली तारीख़ से न रखे हों तो साठ पूरे रखने होंगे और पन्द्रह रोज़े रखने के बाद चाँद हुआ फिर उस महीने के रोज़े रख लिए और यह 29 दिन का महीना हो उस के बाद पन्द्रह दिन और रख लिए कि 59 दिन हुए जब भी कफ़्फ़ारा अदा हो जायेगा (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– रोज़ों से कफ़्फ़ारा अदा होने में शर्त यह है कि पिछले रोज़े के ख़त्म तक गुलाम आज़ाद करने पर कुदरत न हो यहाँ तक कि पिछले रोज़े की आख़िर साअत में भी अगर कुदरत

पाई गई तो रोज़े नाकाफ़ी हैं बल्कि गुलाम आज़ाद करना होगा और अब यह रोज़ा–ए–नफ़्ल हुआ उस का पूरा करना मुस्तहब रहेगा अगर फ़ौरन तोड़ देगा तो उसकी क़ज़ा नहीं अलबत्ता अगर कुछ देर बाद तोड़ देगा तो क़ज़ा लाज़िम है (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– कफ़्फ़ारा का रोज़ा तोड़दिया ख़्वाह सफ़र वग़ैरा किसी उज़्र से तोड़ा या बग़ैर उज़्र या ज़िहार करने वाले ने जिस औरत से ज़िहार किया उन दो महीनों के अन्दर दिन या रात में उस से वती की क़स्दन की हो या भूल कर तो सिरे से रोज़ा रखे कि शर्त यह है कि जिमाअ् से पहले दो महीने के लिए पै दर पै रोज़े रखे और उन सूरतों में यह शर्त पाई न गई (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– यह अहकाम जो कफ़्फ़ारा के मुतअल्लिक़ बयान किए गये यानी गुलाम आज़ाद करने और रोज़े रखने के मुतअल्लिक़ यह ज़िहार के साथ मख़सूस नहीं बल्कि हर कफ़्फ़ारा के यही अहकाम हैं मसलन क़त्ल का कफ़्फ़ारा या रोज़ा–ए–रमज़ान तोड़ने का कफ़्फ़ारा, क़सम का कफ़्फ़ारा मगर क़सम के कफ़्फ़ारा में तीन रोज़े हैं और यह हुक्म कि रोज़ा तोड़ दिया तो सिरे से रखने होंगे कफ़्फ़ारा के साथ मख़सूस नहीं बल्कि जहाँ पै दर पै की शर्त हो मसलन पै दर पै रोज़ों की मन्नत मानी तो यहाँ भी यही हुक्म है अल्लबत्ता अगर औरत ने रमज़ान का रोज़ा तोड़ दिया और कफ़्फ़ारा में रोज़े रख रही थी और हैज़ आ गया तो सिरे से रखने का हुक्म नहीं बल्कि जितने बाक़ी हैं उन का रखना काफ़ी है हाँ अगर उस हैज़ के बाद आइसा हो गई यानी अब ऐसी उम्र हो गई कि हैज़ न आयेगा तो सिरे से रखने का हुक्म दिया जायेगा कि अब वह पै दर पै दो महीने के रोज़े रख सकती है और अगर इसना–ए–कफ़्फ़ारा (कफ़्फ़ारे के दरमियान) में औरत के बच्चा हुआ तो सिरे से रखे ज़िहार वग़ैर ज़िहार के कफ़्फ़ारों में एक और फ़र्क़ है वह यह कि ग़ैर ज़िहार के कफ़्फ़ारे में अगर रात में वती की या दिन में भूलकर की तो सिरे से रोज़ा रखने की हाजत नहीं यूँहीं ज़िहार के रोज़ों में अगर भूल कर खा लिया या दूसरी औरत से भूलकर जिमाअ् किया या रात में क़स्दन जिमाअ् किया तो सिरे से रखने की हाजत नहीं (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार वग़ैरहुमा)

मसअला :– गुलाम ने अगर अपनी औरत से ज़िहार किया अगर्चे मुकातिब हुआ या उसका कुछ हिस्सा आज़ाद हो चुका बाक़ी के लिए सआयत (कोशिश) करता हो या आज़ाद ने ज़िहार किया मगर बवजहे कम अक़्ली के उस के तसर्रुफ़ात(इख़्तेयारात) रोक दिए गये हों तो इस सब के लिए कफ़्फ़ारे में रोज़े रखना मुअय्यन (तै) है उन के लिए गुलाम आज़ाद करना या खाना खिलाना नहीं लिहाज़ा अगर गुलाम के आक़ा ने उस की तरफ़ से गुलाम आज़ाद कर दिया या खाना खिला दिया तो यह काफ़ी नहीं अगर्चे गुलाम की इजाज़त से हो और कफ़्फ़ारा के रोज़ों से उसका आक़ा मना नहीं कर सकता और गुलाम ने कफ़्फ़ारा के रोज़े अब तक नहीं रखे और अब आज़ाद हो गया तो अगर गुलाम आज़ाद करने पर क़ुदरत हो तो आज़ाद करे वरना रोज़े रखे (आलमगीरी)

मसअला :– रोज़े रखने पर भी अगर कुदरत न हो कि बीमार है और अच्छे होने की उम्मीद नहीं या बहुत बूढ़ा है तो साठ मिस्कीनों को दोनों वक़्त पेट भर कर खाना खिलाये और यह इख़्तियार है कि एक दम से साठ मिस्कीनों को खिला दे या मुतफ़र्रिक़ तौर पर मगर शर्त यह कि उस इस्ना(दरम्यान)में रोज़े पर कुदरत हासिल न हो वरना खिलाना सदक़ा–ए–नफ़्ल होगा और कफ़्फ़ारा में रोज़े रखने होंगे और अगर एक वक़्त साठ को खिलाया दूसरे वक़्त उन के सिवा दूसरे साठ को खिलाया तो अदा न हुआ बल्कि ज़रूर है कि पहलों या पिछलों को फिर एक वक़्त खिलाये(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार, आलमगीरी)

मसअला :– शर्त यह है कि जिन मिस्कीनों को खाना खिलाया हो उन में कोई नाबालिग़, ग़ैर मुराहिक़

न हो हाँ अगर एक जवान की पूरी ख़ुराक का उसे मालिक कर दिया तो काफ़ी है(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– यह भी हो सकता है कि हर मिस्कीन को सदक़ा–ए–फ़ित्र के बराबर यानी निस्फ़ साअ् गेहूँ (दो किलो पैंतालीस ग्राम) या एक साअ् जौ या उन की क़ीमत का मालिक कर दिया जाये मगर इबाहत काफ़ी नहीं और उन्हीं लोगों को दे सकते हैं जिन्हें सदक़ा–ए–फ़ित्र दे सकते हैं जिन की तफ़सील सदक़–ए–फ़ित्र के बयान में मज़कूर हुई और यह भी हो सकता है कि सुब्ह को खिलादे और शाम के लिए कीमत देदे या शाम को खिलादे और सुब्ह के खाने की कीमत देदे या दो दिन सुब्ह को या शाम को खिलादे या तीस को खिलाये और तीस को देदे ग़र्ज़ यह कि साठ की तअ्दाद जिस तरह चाहे पूरी करे उस का इख़्तियार है या पाव साअ् गेहूँ और निस्फ़ साअ् जौ देदे या कुछ गेहूँ या जौ दे बाक़ी की कीमत हर तरह इख़्तियार है (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– खिलाने में पेट भरकर खिलाना शर्त है अगर्चे थोड़ा ही खाने में आसूदा (पेट भर जाये) हो जायें और अगर पहले ही से कोई आसूदा था तो उस का खाना काफ़ी नहीं और बेहतर यह है कि गेहूँ की रोटी और सालन खिलाये और उस से अच्छा खाना हो तो और बेहतर और जौकी रोटी हो तो सालन ज़रूरी है (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– एक मिस्कीन को साठ दिन तक दोनों वक़्त खिलाया या हर रोज़ सदक़ा –ए–फ़ित्र के बराबर उसे दे दिया जब भी अदा हो गया और अगर एक ही दिन में एक मिस्कीन को सब दे दिया या एक दफ़अ् में या साठ दफ़अ् कर के या उस को सब बतौर इबाहत दिया तो सिर्फ़ उस एक दिन का अदा हुआ यूहीं अगर तीस मसाकीन को एक एक साअ् गेहूँ दिए या दो दो साअ् जौ तो सिर्फ़ तीस को देना क़रार पायेगा यानी तीस मसाकीन को फ़िर देना पड़ेगा यह उस सूरत में है कि एक दिन में दिये हों और दो दिनों में दिए तो जाइज़ है (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– साठ मसाकीन को पाव पाव साअ् गेहूँ दिए तो ज़रूर है कि उन में हर एक को और पाव पाव साअ् दे और अगर उन की एवज़ में और साठ मसाकीन को पाव पाव साअ् दिए तो कफ़्फ़ारा अदा न हुआ (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक सौ बीस मसाकीन को एक वक़्त खाना खिला दिया तो कफ़्फ़ारा अदा न हुआ बल्कि ज़रूर है कि उन में से साठ को फिर एक वक़्त खिलाये ख़्वाह उसी दिन या किसी दूसरे दिन और अगर वह न मिलें तो दूसरे साठ मसाकीन को दोनों वक़्त खिलाये (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– उस के ज़िम्मे दो ज़िहार थे ख़्वाह एक ही औरत से दोनों ज़िहार किए या दो औरतों से और दोनों के कफ़्फ़ारा में साठ मिस्कीन को एक एक साअ् गेहूँ दे दिये तो सिर्फ एक कफ़्फ़ारा अदा हुआ और अगर पहले निस्फ़ निस्फ़ साअ् एक कफ़्फ़ारा में दिये फिर उन्हीं को निस्फ़ निस्फ़ साअ् दूसरे कफ़्फ़ारा में दिये तो दोनों अदा हो गये (आलमगीरी)

मसअ्ला :– दो ज़िहार के कफ़्फ़ारों में दो गुलाम आज़ाद कर दिये या चार महीने के रोज़े रख लिये या एक सौ बीस मिस्कीनों को खाना खिला दिया तो दोनों कफ़्फ़ारे अदा हो गये अगर्चे मुअ्य्यन (ख़ास) न किया हो कि यह फ़ुलाँ का कफ़्फ़ारा है और यह फ़ुलाँ का और अगर दोनों दो क़िस्म के कफ़्फ़ारे हों तो कोई अदा न हुआ मगर जबकि यह नियत हो कि एक कफ़्फ़ारा में यह, और एक में वह अगर्चे मुअ्य्यन न किया हो कि कौन से कफ़्फ़ारा में यह और किस में वह और अगर दोनों की तरफ़ से एक गुलाम आज़ाद किया या दो माह के रोज़े रखे तो एक अदा हुआ और उसे इख़्तियार

है कि जिस के लिए चाहे मुअय्यन करे **और अगर** दोनों कफ़्फ़ारे दो किस्म के हैं मसलन एक ज़िहार का है दूसरा क़त्ल का तो कोई कफ़्फ़ारा अदा न हुआ मगर जब कि काफ़िर को आज़ाद किया हो तो यह ज़िहार के लिए मुतअय्यन (ख़ास) है कि क़त्ल के कफ़्फ़ारे में मुसलमान का आज़ाद करना शर्त है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– दो किस्म के दो कफ़्फ़ारे हैं और साठ मिस्कीन को एक एक साअ् गेहूँ दोनों कफ़्फ़ारों में दे दिये तो दोनों अदा हो गये अगर्चे पूरा पूरा साअ् एक मरतबा दिया हो (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– निस्फ़ गुलाम आज़ाद किया और एक महीने के रोज़े रखे या तीस मिस्कीनों को खाना खिलाया तो कफ़्फ़ारा अदा न हुआ (आलमगीरी)

मसअ्ला :– ज़िहार में यह ज़रूरी है कि कुर्बत से पहले साठ मसाकीन को खिला दे और अगर अभी पूरे साठ मसाकीन को खिला नहीं चुका है और दरमियान में वती करली तो अगर्चे यह हराम है मगर जितनों को खिला चुका है वह बातिल न हुआ बाक़ियों को खिला दे सिरे से फिर साठ को खिलाना ज़रूर नहीं (जौहरा)

मसअ्ला :– दूसरे ने बग़ैर उसके हुक्म के खिला दिया तो कफ़्फ़ारा अदा न हुआ और उस के हुक्म से है तो सहीह है मगर जो सर्फ़ हुआ है वह उस से नहीं ले सकता हाँ अगर उस ने हुक्म करते वक़्त यह कह दिया हो कि जो सर्फ़ होगा मैं दूँगा तो ले सकता है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जिस के ज़िम्मे कफ़्फ़ारा था उस का इन्तिक़ाल हो गया वारिस ने उस की तरफ़ से खाना खिला दिया या क़सम के कफ़्फ़ारा में कपड़े पहना दिये तो हो जायेगा और ग़ुलाम आज़ाद किया तो नहीं (रद्दुल मुहतार)

लिआ़न का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है।

وَالَّذِیْنَ یَرْمُوْنَ اَزْوَاجَھُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَّھُمْ شُھَدَاءُ اِلَّآ اَنْفُسُھُمْ فَشَھَادَۃُ اَحَدِھِمْ اَرْبَعُ شَھٰدٰتٍ م بِاللّٰہِ اِنَّہٗ لَمِنَ الصّٰدِقِیْنَo وَالْخَامِسَۃُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰہِ عَلَیْہِ اِنْ کَانَ مِنَ الْکٰذِبِیْنَo وَ یَدْرَؤُا عَنْھَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْھَدَ اَرْبَعَ شَھٰدٰتٍ م بِاللّٰہِ اِنَّہٗ لَمِنَ الْکٰذِبِیْنَo وَ الْخَامِسَۃَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰہِ عَلَیْھَا اِنْ کَانَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَo

"और जो लोग अपनी औ़रतों को तोहमत लगायें और उन के पास अपने बयान के सिवा गवाह न हों तो ऐसे किसी की गवाही यह है कि चार बार गवाही दे अल्लाह के नाम से कि वह सच्चा है और पाँचवीं यह कि अल्लाह की लअ़्नत हो उस पर अगर झूटा हो औ़रत से सज़ा यूँ टलेगी कि वह अल्लाह का नाम लेकर चार बार गवाही दे कि मर्द झूटा है और पाँचवीं बार यूँ कि औ़रत पर अल्लाह का ग़ज़ब अगर मर्द सच्चा हो"

सहीह मुस्लिम शरीफ़ में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि सअ़्द बिन उ़बादा **रदियल्लाहु** तआ़ला अ़न्हु ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह क्या किसी मर्द को अपनी बीवी के साथ पाऊँ तो उसे छूऊँ भी नहीं यहाँ तक कि चार गवाह लाऊँ हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया हाँ उन्होंने अ़र्ज़ की हरगिज़ नहीं क़सम है उस की जिस ने हुज़ूर को हक़ के साथ भेजा है मैं फ़ौरन तलवार से काम तमाम कर दूँगा हुज़ूर ने लोगों को मुख़ातिब कर के फ़रमाया सुनो तुम्हारा सरदार क्या कहता है बेशक वह बड़ा ग़ैरत वाला है और मैं उस से ज़्यादा ग़ैरत वाला हूँ और अल्लाह मुझ से ज़्यादा

ग़ैरत वाला है दूसरी रिवायत में है कि यह अल्लाह की ग़ैरत ही की वजह से है कि फ़वाहिश (बेहयाई की बातों) को हराम फ़रमा दिया है ख़्वाह वह ज़ाहिर हों या पोशीदा **सहीहैन** में उन्हीं से मरवी कि एक एअ्राबी ने हाज़िर हो कर हुज़ूर से अ़र्ज़ की कि मेरी औरत के स्याह रंग का लड़का पैदा हुआ है और मुझे उस का अचम्बा है (यानी मालूम होता है मेरा नहीं)हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया तेरे पास ऊँट हैं अ़र्ज़ की हाँ फ़रमाया उन के रंग क्या हैं अ़र्ज़ की सुर्ख़ फ़रमाया उन में भूरा भी है अ़र्ज़ की कुछ भूरे भी हैं फ़रमाया तो सुर्ख़ रंग वालो में यह भूरा कहाँ से आगया अ़र्ज़ की शायद रग ने खींचा हो (यानी उस के बाप दादा में कोई ऐसा होगा उस का असर होगा)फ़रमाया तो यहाँ भी शायद रग ने खींच लिया हो इतनी बात पर उसे इन्कारे नसब की इजाज़त न दी **सहीह बुख़ारी** शरीफ़ में इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी हिलाल बिन उमय्या रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने अपनी बीवी पर तोहमत लगाई हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया गवाह लाओ वरना तुम्हारी पीठ पर हद लगाई जायेगी अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह कोई शख़्स अपनी औरत पर किसी मर्द को देखे तो गवाह ढूँडने जाये हुज़ूर ने वही जवाब दिया फिर हिलाल ने कहा क़सम है उस की जिस ने हुज़ूर को हक़ के साथ भेजा है बेशक मैं सच्चा हूँ और ख़ुदा कोई ऐसा हुक्म नाज़िल फ़रमायेगा जो मेरी पीठ को हद से बचावे उस वक़्त जिबरील अ़लैहिस्सलाम उतरे और اَلَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ नाज़िल हुई हिलाल ने हाज़िर हो कर लिआ़न का मज़मून अदा किया हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया बेशक अल्लाह जानता है कि तुम में एक झूटा है तो क्या तुम दोनों में कोई तौबा करता है फिर औरत खड़ी हुई उस ने भी लिआ़न किया जब पाँचवीं बार की नोबत आई तो लोगों ने उसे रोक कर कहा अब कहेगी तो ज़रूर ग़ज़ब की मुस्तहक़ हो जायेगी उस पर कुछ रुकी और झिजकी जिस से हम को ख़्याल हुआ कि रुजूअ़ करेगी मगर फिर खड़ी हो कर कहने लगी मैं तो अपनी क़ौम को हमेशा के लिए रुसवा न करूँगी फिर वह पाँचवाँ कलिमा भी उस ने अदा कर दिया **सहीहैन** में अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रदियल्ला तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने मर्द औरत में लिआ़न कराया फिर शौहर ने औरत के लड़के से इन्कार कर दिया हुज़ूर ने दोनों में तफ़रीक़ कर दी और बच्चा को औरत की तरफ़ मनसूब कर दिया और हुज़ूर ने लिआ़न के वक़्त पहले मर्द को नसीहत व तज़कीर की और यह ख़बर दी कि दुनिया का अ़ज़ाब आख़िरत के अ़ज़ाब से बहुत आसान है फिर औरत को बुला कर नसीहत व तज़कीर की और उसे भी यही ख़बर दी दूसरी रिवायत में है कि मर्द ने अपने माल (महर) का मुतालबा किया इरशाद फ़रमाया कि तुम को माल न मिलेगा अगर तुम ने सच कहा है तो जो मन्फ़अ़त उस से उठा चुके हो उस के बदले में हो गया और अगर तुम ने झूठ कहा है तो यह मुतालबा बहुत बईद व बईद तर (बहुत दूर) है इब्ने माजा में बरिवायत अ़म्र इब्ने शुऐब अपने बाप से अपने दादा से मरवी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि चार औरतों से लिआ़न नहीं हो सकता (1)नसरानिया जो मुसलमान की ज़ौजा है और यहूद (2) यह जो मुसलमान की औरत है और (3)हुर्रा जो किसी गुलाम के निकाह में है और (4) बाँदी जो आज़ाद मर्द के निकाह में है।

मसअ्ला :– मर्द ने अपनी औरत को ज़िना की तोहमत लगाई उस तरह पर कि अगर अजनबिया (पाकदामन) औरत को लागाता तो हदे क़ज़फ़(तोहमते ज़िना की हद)उस पर लगाई जाती यानी औरत आ़क़िला बालिग़ा हुर्रा मुस्लिमा अफ़ीफ़ा हो तो लिआ़न किया जायेगा उस का तरीक़ा यह है कि क़ाज़ी के हुज़ूर पहले शौहर क़सम के साथ चार मरतबा शहादत दे यानी कहे कि मैं शहादत

देता हूँ कि मैंने जो इस औरत को ज़िना की तोहमत लगाई उस में खुदा की क़सम सच्चा हूँ फिर पाँचवीं मरतबा यह कहे कि उस पर खुदा की लअ्नत अगर उस अम्र में कि उस को ज़िना की तोहमत लगाई झूट बोलने वालों से हो और हर बार लफ़्ज़ उस से औरत की तरफ़ इशारा करे फिर औरत चार मरतबा यह कहे कि मैं शहादत देती हूँ खुदा की कसम उस ने जो मुझे ज़िना की तोहमत लगाई है उस बात में झूठा है और पाँचवीं मरतबा यह कहे कि उस पर अल्लाह का ग़ज़ब हो अगर यह उस बात में सच्चा हो जो मुझे ज़िना की तोहमत लगाई लिआ़न में लफ़्ज़ शहादत शर्त है अगर यह कहा कि मैं खुदा की क़सम खाता हूँ कि सच्चा हूँ लिआ़न न हुआ।

मसअ्ला :– लिआ़न के लिए चन्द शर्तें हैं (1)निकाहे सहीह हो अगर उस औरत से उस का निकाह फ़ासिद हुआ है और तोहमत लगाई तो लिआ़न नहीं (2)ज़ौजियत क़ाइम हो ख़्वाह दुख़ूल हुआ हो या नहीं लिहाज़ा अगर तोहमत लगाने के बाद अगर तलाक़ बाइन दी तो लिआ़न नहीं हो सकता अगर्चे तलाक़ देने के बाद फिर निकाह कर लिया यूँहीं अगर तलाक़ बाइन देने के बाद तोहमत लगाई या ज़ौजा के मरजाने के बाद तो लिआ़न नहीं **और अगर तोहमत** के बाद रजई तलाक़ दी या रजई तलाक़ के बाद तोहमत लगाई तो लिआ़न साक़ित नहीं।(3) दोनों आज़ाद हों (4) दोनों आ़क़िल हों (5) दोनों बालिग़ हों (6) दोनों मुसलमान हों (7) दोनों नातिक़ हों यानी उन में कोई गूँगा न हो (8)उन में किसी पर हद्दे क़ज़फ़ न लगाई गई हो (9)मर्द ने अपने इस क़ौल पर गवाह न पेश किए हों(10)औरत ज़िना से इन्कार करती हो और अपने को पारसा (पाक) कहती हो इस्तिलाहे शरअ् में पारसा उस को कहते हैं जिस के साथ वती हराम न हुई हो न वह उसके साथ मुत्तहम(तोहमत लगी हुई)हो लिहाज़ा तलाके बाइन की इद्दत में अगर शौहर ने उस से वती की अगर्चे वह अपनी नादानी से यह समझता था कि उस से वती हलाल है तो औरत अफ़ीफ़ा(पारसा) नहीं यूँहीं अगर निकाह फ़ासिद कर के उस से वती की तो अफ़्फ़त जाती रही या औरत की औलाद है जिस के बाप को यहाँ के लोग न जानते हों अगर्चे हकीकतन वह वलदुज़्ज़िना नहीं है यह सूरत मुत्तहम होने की है उस से भी अफ़्फ़त (पारसाई) जाती रहती है और अगर वती हराम आ़रिज़ी सबब से हो मसलन हैज़ व निफ़ास वग़ैरा में जिन में वती हराम है वती की तो उस से अफ़्फ़त (पारसाई) नहीं जाती।(11)सरीह ज़िना की तोहमत लगाई हो या उस की जो औलाद उसके निकाह में पैदा हुई उस को कहता हो कि यह मेरी नहीं या जो बच्चा औरत को दूसरे शौहर से है उस को कहता हो कि यह उस का नहीं (12) दारुल इस्लाम में यह तोहमत लगाई हो (13)औरत क़ाज़ी के पास उस का मुतालबा करे(14)शौहर तोहमत लगाने का इक़रार करता हो या दो मर्द गवाहों से साबित हो लिआ़न के वक़्त औरत को खड़ा होना शर्त नहीं बल्कि मुस्तहब है।

मसअ्ला :– औरत पर चन्द बार तोहमत लगाई तो एक ही बार लिआ़न होगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– लिआ़न में तमादी नहीं यानी अगर औरत ने ज़मान–ए–दराज़ तक मुतालबा न किया तो लिआ़न साक़ित न होगा हर वक़्त मुतालबा का उस को इख़्तियार बाक़ी है लिआ़न मुआ़फ़ नहीं हो सकता यानी अगर शौहर ने तोहमत लगाई और औरत ने उस को मुआ़फ़ कर दिया और मुआ़फ़ करने के बाद अब क़ाज़ी के यहाँ दअ्वा करती है तो क़ाज़ी लिआ़न का हुक्म देगा और औरत दअ्वा न करे तो क़ाज़ी खुद मुतालबा नहीं कर सकता यूँहीं अगर औरत ने कुछ लेकर सुलह कर ली तो लिआ़न साक़ित न हुआ जो लिया है उसे वापस कर के मुतालबा करने का औरत को हक़ हासिल है मगर औरत के लिए अफ़ज़ल यह है कि ऐसी बात को छुपाये और हाकिम को भी चाहिए कि

औरत को पर्दा पोशी का हुक्म दे। (आलमगीर दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत के मर जाने के बाद उस को तोहमत लगाई और उस औरत की दूसरे शौहर से औलाद है जिस के नसब में उसकी तोहमत की वजह से ख़राबी पड़ती है उस ने मुतालबा किया और शौहर सुबूत न दे सका तो हद्दे कज़फ़ (ज़िना की तोहमत लगाने की सज़ा) काइम की जाये और अगर दूसरे से औलाद नहीं बल्कि उसी की औलादें हैं तो हद काइम नहीं हो सकती (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मर्द व औरत दोनों काफ़िर हों या औरत काफ़िरा या दोनों ममलूक हों या एक या दोनों में एक मजनून हो या नाबालिग़ या किसी पर हद्दे कज़फ़ काइम हुई है तो लिआन नहीं हो सकता और अगर दोनों अन्धे या फ़ासिक़ हों या एक तो हो सकता है। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– शौहर अगर तोहमत लगाने से इन्कार करता है और औरत के पास दो मर्द गवाह भी नहीं तो शौहर से क़सम खिलाई जाये और अगर क़सम खिलाई गई उस ने क़सम खाने से इन्कार किया तो हद काइम न करें (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– शौहर ने तोहमत लगाई और अब लिआन से इन्कार करता है तो क़ैद किया जायेगा यहाँ तक कि लिआन करे या कहे मैंने झूट कहा था अगर झूट का इक़रार करे तो उस पर हद्दे कज़फ़ काइम करें और शौहर ने लिआन के अल्फ़ाज़ अदा कर लिए तो ज़रूर है कि औरत भी अदा करे वरना क़ैद की जायेगी यहाँ तक कि लिआन करे या शौहर की तस्दीक़ करे और अब लिआन नहीं हो सकता न आइन्दा तोहमत लगाने से शौहर पर हद्दे कज़फ़ काइम होगी मगर औरत पर तस्दीक़े शौहर की वजह से हद्दे ज़िना भी काइम न होगी जबकि फ़क़त इतना कहा हो कि वह सच्चा है और अगर अपने ज़िना का इक़रार किया तो बशराइते इक़रारे ज़िना हद्दे ज़िना काइम होगी (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– शौहर के नाक़ाबिले शहादत होने की वजह से अगर लिआन साक़ित हो मसलन ग़ुलाम है या काफ़िर या उस पर हद्दे कज़फ़ लगाई जा चुकी है तो हद्दे कज़फ़ काइम की जाये बशर्ते कि आक़िल, बालिग़ हो और अगर लिआन का साक़ित होना औरत की जानिब से है कि वह उस क़ाबिल नहीं मसलन काफ़िरा है या बाँदी या महदूदा फ़िल कज़फ़(जिसे ज़िना की तोहमत लगाने की सज़ा दी जा चुकी हो) या वह ऐसी है कि उस पर तोहमत लगाने वाले के लिए हद्दे कज़फ़ न हो यानी अफ़ीफ़ा न हो तो शौहर पर हद्दे कज़फ़ नहीं बल्कि तअज़ीर है मगर जबकि अफ़ीफ़ा न हो और अलानिया ज़िना करती हो तो तअज़ीर भी नहीं और अगर दोनों महदूद फ़िलकज़फ़ हों तो शौहर पर हद्दे कज़फ़ है (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अगर औरत से कहा तूने बचपन में ज़िना किया था या हालते जुनून में और यह बात मालूम है कि औरत को जुनून था तो न लिआन है न शौहर पर हद्दे कज़फ़ और अगर कहा तूने हालते कुफ़्र में या जब तू कनीज़ थी उस वक़्त ज़िना किया था या कहा चालीस बरस हुए कि तूने ज़िना किया हालाँकि औरत की उम्र इतनी नहीं तो इनसूरतों में लिआन है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत से कहा ऐ ज़ानिया, या तूने ज़िना किया या मैंने तुझे ज़िना करते देखा तो यह सब अल्फ़ाज़ सरीह हैं इस में लिआन होगा अगर कहा तूने हरामकारी की या तुझ से हराम तौर पर जिमाअ़ किया गया या तुझ से लवातत की गई तो लिआन नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– लिआन का हुक्म यह है कि उस से फ़ारिग़ होते ही उस शख़्स को उस औरत से वती हराम है मगर फ़क़त लिआन से निकाह से ख़ारिज न हुई बल्कि लिआन के बाद हाकिमे इस्लाम तफ़रीक़ करदेगा और अब मुतल्लक़ा बाइन हो गई लिहाज़ा बाद लिआन अगर क़ाज़ी ने तफ़रीक़ न

की हो तो तलाक़ दे सकता है ईला व ज़िहार कर सकता हैं दोनों में से कोई मरजाये तो दूसरा उस का तरका (मय्यत के माल में हिस्सा)पायेगा और लिआन के बाद अगर वह दोनों अलाहिदा होना न चाहें जब भी तफ़रीक़ कर दी जायेगी (जौहरा)

मसअ्ला :– अगर लिआन की इब्तिदा क़ाज़ी ने औरत से कराई तो शौहर के अल्फ़ाज़े लिआन कहने के बाद औरत से फिर कहलवाये और दोबारा औरत से न कहलवाये और तफ़रीक़ कर दी तो होगई (जौहरा)

मसअ्ला :– लिआन हो जाने के बाद अभी तफ़रीक़ न की थी कि ख़ुद क़ाज़ी का इन्तिक़ाल हो गया या मअ्ज़ूल हो गया और दूसरा उस की जगह मुक़र्रर किया गया तो यह क़ाज़ी दोम अब फिर लिआन कराये (जौहरा)

मसअ्ला :– तीन तीन बार दोनों ने अल्फ़ाज़े लिआन कहे थे यानी अभी पूरा लिआन न हुआ था कि क़ाज़ी ने ग़लती से तफ़रीक़ कर दी तो तफ़रीक़ हो गई मगर ऐसा करना ख़िलाफ़े सुन्नत है और अगर एक एक या दो दो बार कहने के बाद तफ़रीक़ की तो तफ़रीक़ न हुई और अगर सिर्फ़ शौहर ने अल्फ़ाज़े लिआन अदा किये औरत ने नहीं और क़ाज़ी ग़ैर हनफ़ी ने(जिस का यह मज़हब हो कि सिर्फ़ शौहर के लिआन से तफ़रीक़ हो जाती है)तफ़रीक़ कर दी तो जुदाई हो गई और क़ाज़ी हनफ़ी ऐसा करेगा तो उस की क़ज़ा नाफ़िज़ न होगी कि यह उस के मज़हब के ख़िलाफ़ है और ख़िलाफ़े मज़हब हुक्म करने का उसे हक़ नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– लिआन के बाद अभी तफ़रीक़ नहीं हुई है और दोनों या एक को कोई ऐसा अम्र लाहिक़ हुआ कि लिआन से पेश्तर होता तो लिआन ही न होता मसलन एक या दोनों गूँगे या मुरतद हो गये या किसी को तोहमत लगाई और हद्दे क़ज़फ़ क़ाइम हुई या एक ने अपनी तकज़ीब(झूटे होने)की या औरत से वती हराम की गई तो लिआन बातिल हो गया लिहाज़ा क़ाज़ी अब तफ़रीक़ न करेगा **और अगर** दोनों में से कोई मजनून हो गया तो लिआन साक़ित न होगा लिहाज़ा तफ़रीक़ करदेगा और अगर बोहरा हो गया जब भी तफ़रीक़ करदेगा **और अगर** मर्द ने अल्फ़ाज़े लिआन कह लिए थे और औरत ने अभी नहीं कहे थे कि बोहरा हो गया या औरत बोहरा होगई तो तफ़रीक़ न होगी न औरत से लिआन कराया जाये (आलमगीरी)

मसअ्ला :– लिआन के बाद शौहर या औरत ने तफ़रीक़ के लिए किसी को अपना वकील किया और ग़ाइब हो गया तो क़ाज़ी वकील के सामने तफ़रीक़ करदेगा यूहीं अगर बादे लिआन चलदिए फिर किसी को वकील बनाकर भेजा तो क़ाज़ी उस वकील के सामने तफ़रीक़ करदेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– लिआन के बाद अगर अभी तफ़रीक़ न हुई हो जब भी उस औरत से वती व दवाई –ए–वती (वती के लिए बुलाना) हराम हैं और तफ़रीक़ हो गई तो इद्दत का नफ़्क़ा व सुकना यानी रहने का मकान पायेगी और इद्दत के अन्दर जो बच्चा पैदा होगा उसी शौहर का होगा अगर दो बरस के अन्दर पैदा हो **और अगर** इद्दत उस औरत के लिए न हो और छः माह के अन्दर बच्चा पैदा हो तो उसी शौहर का क़रार दिया जायेगा (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर शौहर ने उस बच्चा की निस्बत जो उस के निकाह में पैदा हुआ है और ज़िन्दा भी है यह कहा कि यह मेरा नहीं है और लिआन हुआ तो क़ाज़ी उस बच्चा का नसब शौहर से मुन्क़तअ् करदेगा और वह बच्चा अब माँ की तरफ़ मुन्तसिब होगा बशर्ते कि उलूक़ (किसी मुआमले के लटका देना)ऐसे वक़्त में हुआ कि औरत में सलाहियते लिआन हो लिहाज़ा अगर उस वक़्त बाँदी थी अब आज़ाद है या उस वक़्त काफ़िरा थी अब मुसलमान है तो नसब

मुन्तफ़ी(ख़त्म)न होगा उस वास्ते कि उस सूरत में लिआ़न ही नहीं और अगर वह बच्चा मर चुका है तो लिआ़न होगा और नसब मुन्तफ़ी नहीं हो सकता है **यूँहीं अगर** दो बच्चे हुए एक मरचुका है और एक ज़िन्दा है और दोनों से शौहर ने इन्कार कर दिया या लिआ़न से पहले एक मर गया तो उस मुर्दा का नसब मुन्तफ़ी न होगा नसब मुन्तफ़ी (ख़त्म) होने की छः शर्तें हैं (1)तफ़रीक़ (2) वक़्ते विलादत या उस के एक दिन या दो दिन बाद तक हो दो दिन के बाद इन्कार नहीं कर सकता (3)इस इन्कार से पहले इक़रार न कर चुका अगर्चे दलालतन इक़रार हो मसलन उस को मुबारक बाद दी गई और उस ने सुकूत(ख़ामोश रहा) किया या उस के लिए खिलौने ख़रीदे (4) तफ़रीक़ के वक़्त बच्चा ज़िन्दा हो (5)तफ़रीक़ के बाद उसी हमल से दूसरा बच्चा न पैदा हो यानी छः महीने के अन्दर (6) सुबूते नसब का हुक्म शरअ़न न हो चुका हो मसलन बच्चा पैदा हुआ और वह किसी दूध पीते बच्चा पर गिरा और यह मरगया और यह हुक्म दिया गया कि उस बच्चा के बाप के अ़स्बा उस की दियत अदा करें और अब बाप यह कहता है कि मेरा नहीं तो लिआ़न होगा और नसब मुन्क़तअ़ न होगा(दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– लिआ़न व तफ़रीक़ के बाद फिर उस औरत से निकाह नहीं कर सकता जब तक दोनों अहलियते लिआ़न रखते हों और अगर लिआ़न की कोई शर्त दोनों या एक में मफ़क़ूद (ख़त्म)होगई तो अब बाहम दोनों निकाह कर सकते हैं मसलन शौहर ने उस तोहमत में अपने को झूटा बताया अगर्चे सराहतन यह न कहा हो कि मैंने झूटी तोहमत लगाई थी मसलन वह बच्चा जिस का इन्कार कर चुका था मर गया और उस ने माल छोड़ा तरका लेने के लिए यह कहता है कि वह मेरा बच्चा था तो हद्दे क़ज़फ़ क़ाइम होगी और उस का निकाह उस औरत से अब हो सकता है और अगर हद्दे क़ज़फ़ न लगाई गई जब भी निकाह हो सकता है **यूँहीं अगर** लिआ़न व तफ़रीक़ के बाद किसी और पर तोहमत लगाई और उस की वजह से हद्दे क़ज़फ़ क़ाइम हुई या औरत ने उस की तस्दीक़ की या औरत से वती हराम की गई अगर्चे ज़िना न हो मगर तस्दीक़े ज़न (औरत की तस्दीक़) से निकाह उस वक़्त जाइज़ होगा जबकि चार बार हो और हद व लिआ़न साक़ित होने के लिए एकबार तस्दीक़ काफ़ी है। (आलमगीरी,दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– हमल की निस्बत अगर शौहर ने कहा कि यह मेरा नहीं तो लिआ़न नहीं हाँ अगर यह कहे कि तूने ज़िना किया है और हमल उसी से है तो लिआ़न होगा मगर क़ाज़ी उस हमल को शौहर से नफ़ी न करेगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– किसी ने उस की औरत पर तोहमत लगाई उस ने कहा तूने सच कहा वह वैसी ही है जैसा तू कहता है तो लिआ़न होगा और अगर फ़क़त इतना ही कहा कि तू सच्चा है तो लिआ़न नहीं न हद्दे क़ज़फ़ (आलमगीरी)

मसअला :– औरत से कहा तुझ पर तीन तलाक़ें ऐ ज़ानिया तो लिआ़न नहीं बल्कि हद्दे क़ज़फ़ है और अगर कहा ऐ ज़ानिया तुझे तीन तलाक़ें तो न लिआ़न है न हद (आलमगीरी)

मसअला :– औरत से कहा ऐ ज़ानिया ज़ानिया की बच्ची तो औरत और उसकी माँ दोनों पर तोहमत लगाई अब अगर माँ बेटी दोनों एक साथ मुतालबा करें तो माँ का मुतालबा मुक़द्दम क़रार देकर हद्दे क़ज़फ़ क़ाइम कर देंगे और लिआ़न साक़ित हो जायेगा और अगर माँ ने मुतालबा न किया और औरत ने किया तो लिआ़न होगा फिर बाद में अगर माँ ने मुतालबा किया तो क़ज़फ़ क़ाइम कर देंगे **और अगर सूरते** मज़कूरा में औरत की माँ मर चुकी है और औरत ने दोनों मुतालबे किए तो

माँ की तोहमत पर हद्दे कज़फ़ काइम करेंगे और लिआ़न साकित और अगर सिर्फ़ अपना मुतालबा किया तो लिआ़न होगा यूँहीं अगर अजनबिया पर तोहमत लगाई फिर उस से निकाह कर के फिर तोहमत लगाई और औ़रत ने लिआ़न व हद दोनों का मुतालबा किया तो हद होगी और लिआ़न साकित और अगर लिआ़न का मुतालबा किया और लिआ़न हुआ फिर हद का मुतालबा किया तो हद भी काइम करेंगे (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अपनी औ़रत से कहा मैंने जो तुझ से निकाह किया उस से पहले तूने ज़िना कियाा या निकाह से पहले मैंने तुझे ज़िना करते देखा तो यह तोहमत चूँकि अब लगाई लिहाज़ा लिआ़न है और अगर यह कहा निकाह से पहले मैंने तुझे ज़िना की तोहमत लगाई तो लिआ़न नहीं बल्कि हद काइम होगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औ़रत से कहा मैंने तुझे बिक्र न पाया तो न हद है न लिआ़न (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औलाद से इन्कार उस वक़्त सहीह है जब मुबारक बादी देते वक़्त या विलादत के सामान ख़रीदने के वक़्त नफ़ी की हो वरना सुकूत रज़ा समझा जायेगा अब फिर नफ़ी (इन्कार)नहीं हो सकती मगर लिआ़न दोनों सूरतों में होगा और अगर विलादत के वक़्त शौहर मौजूद न था तो जब उसे ख़बर हुई नफ़ी के लिए वह वक़्त बमन्ज़िला–ए–विलादत के है शौहर ने औलाद से इन्कार किया और औ़रत ने भी उस की तस्दीक़ की तो लिआ़न नहीं हो सकता (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– दो बच्चे एक हमल से पैदा हुए यानी दोनों के दरमियान छः माह से कम का फ़ासिला हुआ और उन दोनों में पहले से इन्कार किया दूसरे का इक़रार तो हद लगाई जाये और अगर पहले का इक़रार किया दूसरे से इन्कार तो लिआ़न होगा बशर्ते कि इन्कार से न फिरे और फिर गया तो हद लगाई जाये मगर बहर हाल दोनों साबितुन्नसब हैं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जिस बच्चे से इन्कार किया और लिआ़न हुआ वह मर गया और उस ने औलाद छोड़ी अब लिआ़न करने वाले ने उस को अपना पोता, पोती क़रार दिया तो वह साबितुन्नसब है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औलाद से इन्कार किया और अभी लिआ़न न हुआ कि किसी अजनबी ने औ़रत पर तोहमत लगाई और उस बच्चा को हरामी कहा उस पर हद्द कज़फ़ काइम हुई तो अब उसका नसब साबित है और कभी मुन्तफ़ी (ख़त्म) न होगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औ़रत के बच्चा पैदा हुआ शौहर ने कहा यह मेरा नहीं या यह ज़िना से है और किसी वजह से लिआ़न साकित हो गया तो नसब मुन्तफ़ी (ख़त्म) न होगा हद वाजिब हो या नहीं यूँही अगर दोनों अहले लिआ़न हैं मगर लिआ़न न हुआ तो नसब मुन्तफ़ी न होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– निकाह किया मगर अभी दुख़ूल न हुआ बल्कि अभी औ़रत को देखा भी नहीं और औ़रत के बच्चा पैदा हुआ शौहर ने उस से इन्कार किया तो लिआ़न हो सकता है और लिआ़न के बाद वह बच्चा माँ के ज़िम्मे होगा और महर पूरा देना होगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– लिआ़न के सबब जिस लड़के का नसब औ़रत के शौहर से मुन्क़तअ् (कट गया) कर दिया गया है बाज़ बातों में उस के लिए नसब के अहकाम हैं मसलन वह अपने बाप के लिए गवाही दे तो मक़बूल नहीं न बाप की गवाही उस के लिए मक़बूल न वह अपने बाप को ज़कात दे सके न बाप उस को और उस लड़के के बेटे का निकाह बाप की उस लड़की से जो दूसरी औ़रत से है नहीं हो सकता या अक्स(उल्टा) हो जब भी नहीं हो सकता और अगर बाप ने उस को मार डाला

तो किसास नहीं और दूसरा शख़्स यह कहे कि यह मेरा लड़का है तो उस का नहीं हो सकता अगर्चे यह लड़का भी अपने को उस का बेटा कहे बल्कि तमाम बातों में वही अह़काम हैं जो साबितुन्नसब के हैं सिर्फ दो बातों में फ़र्क़ है एक यह कि एक दूसरे का वारिस नहीं दूसरे यह कि एक का नफ़्क़ा दूसरे पर वाजिब नहीं (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

इन्नीन का बयान

फ़त्हुलक़दीर में है अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने रिवायत की कि अमीरुलमोमिनीन उमर इब्ने ख़त्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु नें यह फैसला फरमाया कि इन्नीन (नामर्द) को एक साल की मुद्दत दी जाये और इब्ने अबी शीबा ने रिवायत की अमीरुल मोमिनीन ने क़ाज़ी शरह के पास लिख भेजा कि यौमे मुराफ़आ से एक साल की मुद्दत दी जाये और अब्दुर्रज़्ज़ाक व इब्ने अबी शीबा ने मौला अली रदियल्लाहु तआला अन्हु और इब्ने शीबा नें अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि एक साल की मुद्दत दी जाये और ह़सन बसरी व शअ़बी व इबराहीम नख़ई व अता व सईद इब्ने मुसय्यब रदियल्लाहु तआला अन्हुम से भी यही मरवी है।

मसअ्ला :– इन्नीन उस को कहते हैं कि आला मौजूद हो और ज़ौजा के आगे के मकाम में दुख़ूल न कर सके और अगर बाज़ औरत से जिमाअ़ कर सकता है और बाज़ से नहीं या सय्यब के साथ कर सकता है और बिक के साथ नहीं तो जिस से नहीं कर सकता है उस के हक़ में इन्नीन है और जिस से कर सकता है उस के हक़ में नहीं उस के असबाब मुख़्तलिफ़ हैं मर्ज़ की वजह से है या ख़लक़तन (पैदाइशी) ऐसा है या बुढ़ापे की वजह से या उस पर जादू कर दिया गया है।

मसअ्ला :– अगर फ़क़त ह़शफ़ा दाख़िल कर सकता है तो इन्नीन नहीं और ह़शफ़ा(लिंग का अगला ख़ास हिस्सा) कट गया हो तो उस की मिक़दार अ़ज़ू दाख़िल कर सकने पर इन्नीन न होगा और औरत ने शौहर का अ़ज़ू काट डाला तो मक़तूउ़ज़्ज़कर (कटा हुआ लिंग) का हुक्म जारी न होगा(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– शौहर इन्नीन है और औरत का मक़ाम बन्द है या हड्डी निकल आई है कि मर्द उस से जिमाअ़ नहीं कर सकता तो ऐसी कि लिए वह हुक्म नहीं जो इन्नीन की ज़ौजा को है कि उस में ख़ुद भी क़ुसूर है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मर्द का अ़ज़ू तनासुल उनसऐन (दोनों ख़ुसये) या सिर्फ़ अ़ज़ू तनासुल बिलकुल जड़ से कट गया हो या बहुत ही छोटा घुंडी की मिस्ल हो और औरत तफ़रीक़ चाहे तो तफ़रीक़ करदी जायेगी अगर औरत हुर्रा बालिग़ा हो और निकाह से पहले यह हाल उस को मालूम न हो निकाह के बाद, जानकर उस पर राज़ी रही अगर औरत किसी की बान्दी है तो ख़ुद उस को कोई इख़्तियार नहीं बल्कि इख़्तियार उस के मौला को है और नाबालिग़ा है तो बुलूग़ तक इन्तिज़ार किया जाये बुलूग़ के बाद राज़ी हो गई तो ठीक वरना तफ़रीक़ कर दी जाये अ़ज़ू तनासुल कट जाने की सूरत में शौहर बालिग़ हो या नाबालिग़ उस का एअ़तिबार नहीं (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर मर्द का अ़ज़ू तनासुल छोटा है कि मकामे मोअ़ताद (मुनासिब जगह)तक दाख़िल नहीं कर सकता तो तफ़रीक़ नहीं की जायेगी (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– लड़की नाबालिग़ा का निकाह उस के बाप ने कर दिया उस ने शौहर को मक़तूउ़ज़्ज़कर पाया तो बाप को तफ़रीक़ के दअ़वा का हक़ नहीं जब तक लड़की ख़ुद बालिग़ा न

हो ले (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक बार जिमाअ् करने के बाद उस का अज़ू काट डाला गया या इन्नीन हो गया तो अब तफ़रीक़ नहीं की जा सकती (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– शौहर के उनसऐन (लिंग के नीचे का ख़ास हिस्सा) काट डाले गये और इन्तिशार होता है तो औरत को तफ़रीक़ कराने का हक़ नहीं और इन्तिशार न होता हो तो इन्नीन है और इन्नीन का हुक्म है कि औरत जब क़ाज़ी के पास दअ्वा करे तो शौहर से क़ाज़ी दरयाफ़्त करे अगर इक़रार कर ले तो एक साल की मोहलत दी जायेगी साल के अन्दर शौहर ने जिमाअ् कर लिया तो औरत का दअ्वा साक़ित हो गया और जिमाअ् न किया और औरत जुदाई की ख्वास्तगार है तो क़ाज़ी उस को तलाक़ देने को कहे अगर तलाक़ देदे फ़बिहा (तो ठीक) वरना क़ाज़ी तफ़रीक़ कर दे (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– औरत ने दअ्वा किया और शौहर कहता है मैंने उस से जिमाअ् किया है और औरत सय्यब है तो शौहर से क़सम खिलाये क़सम खाले तो औरत का हक़ जाता रहा इन्कार करे तो एक साल की मोहलत दे और अगर औरत अपने को बिक्र (जिस औरत से सम्भोग न किया गया हो) बताती है तो किसी औरत को दिखाये और एहतियात यह है कि दो औरतों को दिखाये अगर यह औरतें उसे सय्यब (ऐसी औरत जिस से सम्भोग किया गया हो) बतायें तो शौहर को क़सम खिला कर उस की बात मानें और यह औरतें बिक्र कहें तो औरत की बात बग़ैर क़सम मानी जायेगी और उन औरतों को शक हो तो किसी तरीक़ा से इम्तिहान करायें और अगर उन औरतों में बाहम इख़्तिलाफ़ है कोई बिक्र कहती है कोई सय्यब तो किसी और से तहक़ीक़ करायें जब यह बात साबित हो जाये कि शौहर ने जिमाअ् नहीं किया है तो एक साल की मोहलत दें (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत का दअ्वा क़ाज़ी–ए–शहर के पास होगा दूसरे क़ाज़ी या ग़ैर क़ाज़ी के पास दअ्वा किया और उस ने मोहलत भी देदी तो उस का कुछ एअ्तिबार नहीं यूहीं औरत का बतौर ख़ुद बैठी रहना बेकार है (ख़ानिया)

मसअ्ला :– साल से मुराद इस मकाम पर शमसी साल है यानी तीन सौ पैंसठ दिन और एक दिन का कुछ हिस्सा और अय्यामे हैज़ व माहे रमज़ान और शौहर के हज और सफ़र का ज़माना उसी में महसूब(COunt) है और औरत के हज और ग़ीबत का ज़माना और मर्द या औरत के मर्ज़ का ज़माना महसूब(COunt)न होगा और अगर एहराम की हालत में औरत ने दअ्वा किया तो जब तक एहराम से फ़ारिग़ न हो ले क़ाज़ी मीआद मुक़र्रर न करेगा (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर इन्नीन ने औरत से ज़िहार किया है और आज़ाद करने पर क़ादिर है तो एक साल की मोहलत दी जायेगी वरना चौदह माह की यानी जबकि रोज़ा रखने पर क़ादिर हो और अगर मोहलत देने के बाद ज़िहार किया तो उस की वजह से मुद्दत में कोई इज़ाफ़ा न होगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– शौहर बीमार है कि बीमारी की वजह से जिमाअ् पर क़ादिर नहीं तो औरत के दअ्वा पर मीआद मुक़र्रर न की जाये जब तक तन्दुरुस्त न हो ले अगर्चे मरज़ लम्बे ज़माने तक रहे(आलमगीरी)

मसअला :– शौहर नाबालिग़ है तो जबतक बालिग़ न हो ले मीआद न मुक़र्रर की जाये (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत मजनूना है और शौहर इन्नीन तो वली के दअ्वा पर क़ाज़ी मीआद मुक़र्रर करेगा और तफ़रीक़ करदेगा और अगर वली भी न हो तो क़ाज़ी किसी शख़्स को उस की तरफ़ से मुददई बनाकर यह अहकाम जारी करेगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मीआद गुज़रने के बाद औरत ने दअ्वा किया कि शौहर ने जिमाअ् नहीं किया और वह कहता है किया है तो अगर औरत सय्यब थी तो शौहर को क़सम खिलायें उस ने क़सम खाली तो औरत का हक़ बातिल हो गया और क़सम खाने से इन्कार करे तो औरत को इख़्तियार है तफ़रीक़ चाहे तो तफ़रीक़ कर देंगे और अगर औरत अपने को बिक कहती है तो वही सूरतें हैं जो मज़कूर हुईं (आलमगीरी)

मसअला :– औरत को क़ाज़ी ने इख़्तियार दिया उस ने शौहर को इख़्तियार किया या मज्लिस से उठ खड़ी हुई या लोगों ने उसे उठा दिया या अभी उस ने कुछ न कहा था कि क़ाज़ी उठ खड़ा हुआ तो इन सब सूरतों में औरत का ख़ियार बातिल (इख़्तियार ख़त्म) हो गया (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला :– तफ़रीक़े क़ाज़ी तलाक़े बाइन क़रार दी जायेगी और ख़लवत हो चुकी है तो पूरा महर पायेगी और इद्दत बैठेगी वरना निस्फ़ महर है और इद्दत नहीं और अगर मुक़र्रर न हुआ था तो मतआ (जोड़ा मिलेगा (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– क़ाज़ी ने एक साल की मोहलत दी थी साल गुज़रने पर औरत ने दअ्वा न किया तो हक़ बातिल न होगा जब चाहे आकर फिर दअ्वा कर सकती है और अगर शौहर और मोहलत माँगता है तो जब तक औरत राज़ी न हो क़ाज़ी मोहलत न दे और औरत की रज़ा मन्दी से क़ाज़ी ने मोहलत दी तो औरत पर उस मीआद की पाबन्दी ज़रूर नहीं जब चाहे दअ्वा कर सकती है और यह मीआद बातिल हो जायेगी और अगर मीआदे अव्वल के बाद क़ाज़ी मअ्ज़ूल हो गया या उस का इन्तिक़ाल हो गया और दूसरा उस की जगह पर मुक़र्रर हुआ और औरत ने गवाहों से साबित कर दिया कि क़ाज़ी अव्वल ने मोहलत दी थी और वह ज़माना ख़त्म हो चुका तो यह क़ाज़ी सिरे से मुद्दत मुक़र्रर न करेगा बल्कि उसी पर अमल करेगा जो क़ाज़ी अव्वल ने किया था (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला :– क़ाज़ी की तफ़रीक़ के बाद गवाहों ने शहादत दी कि तफ़रीक़ से पहले औरत ने जिमाअ् का इक़रार किया था तो तफ़रीक़ बातिल है और तफ़रीक़ के बाद इक़रार किया हो तो बातिल नहीं (आलमगीरी)

मसअला :– तफ़रीक़ के बाद उसी औरत ने फिर उसी शौहर से निकाह किया या दूसरी औरत ने जिस को यह हाल मालूम था तो अब दअ्वा–ए–तफ़रीक़ का हक़ नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर शौहर में और किसी क़िस्म का ऐब है मसलन जुनून, जुज़ाम, बर्स, या औरत में ऐब हो कि उस का मक़ाम बन्द हो या उस जगह गोश्त या हड्डी पैदा होगई हो तो फ़स्ख़ का इख़्तियार नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– शौहर जिमाअ् करता है मगर मनी नहीं है कि इन्ज़ाल हो तो औरत को दअ्वा का हक़ नहीं (आलमगीरी)

इद्दत का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

يَا يُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ج لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ م بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَّأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ط

तर्जमा :– "ऐ नबी लोगों से फ़रमा दो कि जब औ़रतों को त़लाक़ दो तो उन्हें इद्दत के वक़्त के लिए त़लाक़ दो और इद्दत का शुमार रखो और अल्लाह से डरो जो तुम्हारा रब है न इद्दत में औ़रतों को उन के रहने के घरों से निकालो और न वह ख़ुद निकलें मगर यह कि खुली हुई बे ह़याई की बात करें"

और फ़रमाता है

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ ط وَ لَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط

तर्जमा :– "त़लाक़ वालियाँ अपने को तीन हैज़ तक रोके रहें और उन्हें यह ह़लाल नहीं कि जो कुछ ख़ुदा ने उन के पेटों में पैदा किया उसे छुपायें अगर वह अल्लाह और क़ियामत के दिन पर ईमान रखती हों

और फ़ामाता है

وَ الّٰئِيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ أَشْهُرٍ وَّ الّٰئِيْ لَمْ يَحِضْنَ ط وَ أُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۔

तर्जमा :– "और तुम्हारी औ़रतों में जो हैज़ से ना उम्मीद हो गईं अगर तुम को कुछ शक हो तो उन की इद्दत तीन महीने है और उन की भी जिन्हें अभी हैज़ नहीं आया है और ह़मल वालियों की इद्दत यह है कि अपना ह़मल जन लें"

और फ़रमाता है

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَّ عَشْرًا ج فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْ أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

तर्जमा :– "तुम में जो मरजायें और बीवियाँ छोड़ें वह चार महीने दस दिन अपने आप को रोके रहें फिर जब उन की इद्दत पूरी हो जाये तो तुम पर कुछ मुवाख़ेज़ा नहीं उस काम में जो औ़रतें अपने मुआ़मला में शरअ़ के मुवाफ़िक़ करें और अल्लाह को तुम्हारे कामों की ख़बर है"।

सह़ीह़ बुख़ारी शरीफ़ में मुसव्विर इब्ने मुख़रिमा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि सबीआ़ अस्लमिया रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा के शौहर की मौत के चन्द दिन बाद बच्चा पैदा हुआ नबी स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में ह़ाज़िर हो कर निकाह़ की इजाज़त त़लब की हुज़ूर ने इजाज़त देदी नीज़ उस में है कि अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊ़द रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु फ़रमाते हैं कि सूरए त़लाक़ (जिस में ह़मल की इद्दत का बयान है)सूरए बक़रा (कि उस में वफ़ात की इद्दत चार महीने दस दिन है) के बाद नाज़िल हुई यानी ह़मल वाली की इद्दत चार माह दस दिन नहीं

बल्कि वज़ओ हमल है और एक रिवायत में है कि मैं उस पर मुबाहिला कर सकता हूँ कि वह उस के बाद नाज़िल हुई। इमाम मालिक व शाफ़िई व बैहक़ी हज़रत अमीरुलमोमिनीन उमर इब्ने ख़त्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि वफ़ात के बाद अगर बच्चा पैदा हो गया और अभी मुर्दा चार पाई पर हो तो इद्दत पूरी होगई।

मसअला :– निकाह ज़ाइल होने या शुबह–ए–निकाह के बाद औरत का निकाह से ममनूअ् होना और एक ज़माना तक इन्तिज़ार करना इद्दत है।

मसअला :– निकाह ज़ाइल (ख़त्म) होने के बाद उस वक़्त इद्दत है कि शौहर का इन्तिक़ाल हुआ हो या ख़ल्वते सहीहा हुई हो ज़ानिया के लिए इद्दत नहीं अगर्चे हामिला हो और यह निकाह कर सकती है मगर जिस के ज़िना से हमल है उस के सिवा दूसरे से निकाह करे तो जबतक बच्चा पैदा न हो वती जाइज़ नहीं निकाहे फ़ासिद में दुख़ूल से क़ब्ल तफ़रीक़ हुई तो इद्दत नहीं और दुख़ूल के बाद हुई तो है (आम्मए कुतुब)

मसअला :– जिस औरत का मक़ाम बन्द है उस से ख़लवत हुई तो तलाक़ के बाद इद्दत नहीं(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत को तलाक़ दी बाइन या रजई या किसी तरह निकाह फ़स्ख़ हो गया अगर्चे यूँ कि शौहर के बेटे का शहवत के साथ बोसा लिया और इन सूरतों में दुख़ूल हो चुका हो या ख़लवत हुई हो और उस वक़्त हमल न हो और औरत को हैज़ आया है तो इद्दत पूरे तीन हैज़ है जबकि आज़ाद हो और बान्दी हो तो दो हैज़ और अगर उम्मे वलद है उस के मौला का इन्तिक़ाल हो गया या उस ने आज़ाद कर दिया तो उस की इद्दत भी तीन हैज़ है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– इन सूरतों में अगर औरत को हैज़ नहीं आता है कि अभी ऐसे सिन(उम्र)को नहीं पहुँची या सिन्ने अयास (वह उम्र जिस में हैज़ आना बन्द हो जाता है)को पहुँच चुकी है या उम्र के हिसाब से बालिग़ा हो चुकी है मगर अभी हैज़ नहीं आया है तो इद्दत तीन महीने है और बान्दी है तो डेढ़ माह।

मसअला :– अगर तलाक़ या फ़स्ख़ पहली तारीख़ को हुआ अगर्चे अ़स्र के वक़्त तो चाँद के हिसाब से तीन महीने वरना हर महीना तीस दिन का क़रार दिया जाये यानी इद्दत के कुल दिन नव्वे होंगे (आलमगीरी जौहरा)

मसअला :– औरत को हैज़ आचुका है मगर अब नहीं आता और अभी सिन्ने अयास को भी नहीं पहुँची है उस की इद्दत भी हैज़ से है जब तक तीन हैज़ न आलें या सिन्ने अयास को न पहुँचे उस की इद्दत ख़त्म नहीं हो सकती और अगर हैज़ आया ही न था और महीनों से इद्दत गुज़ार रही थी कि इसना–ए–इद्दत में हैज़ आ गया तो अब हैज़ से इद्दत गुज़ारे यानी जब तक तीन हैज़ न आ लें इद्दत पूरी न होगी (आलमगीरी)

मसअला :– हैज़ की हालत में तलाक़ दी तो यह हैज़ इद्दत में शुमार न किया जाये बल्कि उस के बाद पूरे तीन हैज़ ख़त्म होने पर इद्दत पूरी होगी (अम्मए–कुतुब)

मसअला :– जिस औरत से निकाह फ़ासिद हुआ और दुख़ूल हो चुका हो या जिस औरत से शुबहतन वती हुई उस की इद्दत फ़ुर्क़त व मौत दोनों में हैज़ से है और हैज़ न आता हो तो तीन महीने (जौहरा नय्यरा)और वह औरत किसी की बान्दी हो तो इद्दत डेढ़ माह (आलमगीरी)

मसअला :– उस की औरत किसी की कनीज़ है उस ने ख़ुद ख़रीदली तो निकाह जाता रहा मगर

इद्दत नहीं यानी उस को वती करना जाइज़ मगर दूसरे से उसका निकाह नहीं हो सकता जब तक दो हैज़ न गुज़रलें (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अपनी औरत को जो कनीज़ थी ख़रीदा और एक हैज़ आने के बाद आज़ाद कर दिया तो उस हैज़ के बाद दो हैज़ और इद्दत में रहे और हुर्रा जैसा सोग करे और अगर एक बाइन तलाक़ देकर ख़रीदी तो मिल्के यमीन की वजह से वती कर सकता है और दो तलाक़ें दीं तो बग़ैर हलाला वती नहीं कर सकता और अगर दो हैज़ के बाद आज़ाद कर दी तो निकाह की वजह से इद्दत नहीं हाँ इत्क़ की वजह से इद्दत गुज़ारे (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिस औरत नाबालिग़ा ने शुबहतन या निकाह फ़ासिद में वती की उस पर भी यही इद्दत है यूँहीं अगर नाबालिग़ी में ख़लवत हुई और बालिग़ होने के बाद तलाक़ दी जब भी यही इद्दत है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– निकाह फ़ासिद में तफ़रीक़ या मुतारका के वक़्त से इद्दत शुमार की जायेगी मुतारका यह कि मर्द ने यह कहा कि मैंने उसे छोड़ा या उस से वती तर्क की या उसी किस्म के और अल्फ़ाज़ कहे जब तक मुतारका या तफ़रीक़ न हो कितना ही ज़माना गुज़र जाये इद्दत नहीं अगर्चे दिल में इरादा कर लिया कि वती न करेगा और अगर औरत के सामने निकाह से इन्कार करता है तो यह मुतारका है वरना नहीं लिहाज़ा उस का एअ्तिबार नहीं। (जौहरा, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– तलाक़ की इद्दत वक़्ते तलाक़ से है अगर्चे औरत को उस की इत्तिलाअ् न हो कि शौहर ने उसे तलाक़ दी है और तीन हैज़ आने के बाद मालूम हुआ तो इद्दत ख़त्म हो चुकी और अगर शौहर यह कहता है कि मैंने उस को इतने ज़माना से तलाक़ दी है तो औरत उसकी तस्दीक़ करे या तकज़ीब इद्दत वक़्ते इक़रार से शुमार होगी (जौहरा)

मसअ्ला :– औरत को किसी ने ख़बर दी कि उस के शौहर ने तीन तलाक़ें देदीं या शौहर का ख़त आया और उस में उसे तलाक़ लिखी है अगर्चे औरत का ग़ालिब गुमान है कि वह सच कहता है या यह ख़त उसी का है तो इद्दत गुज़ार कर निकाह कर सकती है (जौहरा)

मसअ्ला :– औरत को तीन तलाक़ें दे दीं मगर लोगों पर ज़ाहिर न किया और दो हैज़ आने के बाद औरत से वती की और हमल रह गया अब उस ने लोगों से तलाक़ देना बयान किया तो इद्दत वज़अ् हमल है और वज़अ् हमल तक नफ़क़ा उस पर वाजिब (आलमगीरी)

मसअ्ला :– तलाक़ देकर मुकर गया औरत ने काज़ी के पास दअ्वा किया और गवाह से तलाक़ देना साबित कर दिया और काज़ी ने तफ़रीक़ का हुक्म दिया तो इद्दत वक़्ते तलाक़ से है उस वक़्त से नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– पिछला हैज़ अगर पूरे दस दिन पर ख़त्म हुआ है तो ख़त्म होते ही इद्दत ख़त्म होगई अगर्चे अभी ग़ुस्ल न किया बल्कि अगर्चे इतना वक़्त भी अभी नहीं गुज़रा है कि उस में ग़ुस्ल कर सकती और तलाक़ रजई थी तो शौहर अब रजअ्त नहीं कर सकता और अब यह औरत निकाह कर सकती है और अगर दस दिन से कम में ख़त्म हुआ है तो जब तक नहा न ले या एक नमाज़ का पूरा वक़्त न गुज़र ले इद्दत ख़त्म न होगी यह हुक्म मुसलमान औरत के हैं और किताबिया हो तो हालते हैज़ ख़त्म होते ही इद्दत पूरी हो जायेगी (आलमगीरी)

मसअला :– वती बिश्शुबह की चन्द सूरतें हैं 1.औरत इद्दत में थी और शौहर के सिवा किसी और के पास भेज दी गई और यह जाहिर किया गया कि तेरी औरत है उस ने वती की बाद को हाल खुला 2.औरत को तीन तलाकें देकर बगैर हलाला उस से निकाह कर लिया और वती की 3.औरत को तीन तलाकें देकर इद्दत में वती की और कहता है कि मेरा गुमान यह था कि उस से वती हलाल है 4.माल के एवज़ या लफ़्ज़े किनाया से तलाक़ दी और इद्दत में वती की 5. ख़ाविन्द वाली औरत थी और शुब्हतन उस से किसी और ने वती की फिर शौहर ने उस को तलाक़ देदी इन सब सूरतों में औरत पर दो इद्दतें हैं और जुदाई के बाद दूसरी इद्दत पहली इद्दत में दाख़िल हो जायेगी यानी अब जो हैज़ आयेगा दोनों इद्दतों में शुमार होगा (जौहरा नय्यिरा)

मसअला :– मुतल्लका ने एक हैज़ के बाद दूसरे से निकाह किया और उस दूसरे ने उस से वती की फिर दोनों में तफ़रीक(जुदाई) कर दी गई और तफ़रीक़ के बाद दो हैज़ आये पहली इद्दत ख़त्म हो गई मगर अभी दूसरी ख़त्म न हुई लिहाज़ा यह शख़्स उस से निकाह कर सकता है कोई और नहीं कर सकता जब तक बादे तफ़रीक तीन हैज़ न आलें और तीन हैज़ आने पर दोनों इद्दतें ख़त्म हो गयीं (आलमगीरी)

मसअला :– औरत को तलाक़ बाइन दी थी एक या दो और इद्दत के अन्दर वती की और जानता था कि वती हराम है और हराम होने का इक़रार भी करता है तो हर बार की वती पर इद्दत है मगर सब मुतदाख़िल (एक दूसरी में दाख़िल)होंगी और तीन तलाकें दे चुका है और इद्दत में वती की और जानता है कि वती हराम है और इक़रारी है तो उस वती के लिए इद्दत नहीं है बल्कि मर्द को रज्म का हुक्म है और औरत भी इक़रार करती है तो उस पर भी (आलमगीरी)

मसअला :– मौत की इद्दत चार महीने दस दिन है यानी दसवीं रात भी गुज़र ले बशर्ते कि निकाह सहीह हो दुख़ूल हुआ हो या नहीं दोनों का एक हुक्म है अगर्चे शौहर नाबालिग़ हो या ज़ौजा (बीवी) नाबालिग़ा हो यूँहीं अगर शौहर मुसलमान था और औरत किताबिया तो उस की भी यही इद्दत है। मगर उस इद्दत में शर्त यह है कि औरत को हमल न हो (जौहरा वग़ैरहा)

मसअला :– औरत कनीज़ है तो उस की इद्दत दो महीने पाँच दिन है शौहर आज़ाद हो या गुलाम कि इद्दत में शौहर के हाल का लिहाज़ नहीं बल्कि औरत के एअ्तिबार से है फिर मौत पहली तारीख़ को हो तो चाँद से महीने लिये जायें वरना हुर्रा (आज़ाद औरत)के लिए एक सौ तीस दिन और बाँदी के लिए पैंसठ दिन (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत हमल वाली है तो इद्दत वज़्अ़े हमल है औरत हुर्रा हो या कनीज़ मुस्लिमा हो या किताबिया इद्दत तलाक़ की हो या वफ़ात की या मुतारका या वती बिश्शुब्ह की हमल साबितुन्नसब हो या ज़िना का मसलन ज़ानिया हामिला से निकाह किया और शौहर मर गया वती के बाद तलाक़ दी तो इद्दत वज़्अ़े हमल है। (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी वग़ैरहुमा)

मसअला :– वज़्अ़े हमल से इद्दत पूरी होने के लिए कोई ख़ास मुद्दत मुक़र्रर नहीं मौत या तलाक़ के बाद जिस वक़्त बच्चा पैदा हो इद्दत ख़त्म हो जायेगी अगर्चे एक मिनट बाद हमल साक़ित हो गया और अअ्ज़ा बन चुके हैं इद्दत पूरी होगई वरना नहीं और अगर दो या तीन बच्चे एक हमल से हुए तो पिछले के पैदा होने से इद्दत पूरी होगी (जौहरा)

मसअ्ला :– बच्चे का अकसर हिस्सा बाहर आचुका तो रजअत नहीं कर सकता मगर दूसरे से निकाह उस वक़्त हलाल होगा कि पूरा बच्चा पैदा हो ले। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मौत के बाद अगर हमल क़रार पाया तो इद्दत वज़अ़े हमल से न होगी बल्कि दिनों से(जौहरा)

मसअ्ला :– बारह बरस से कम उम्र वाले का इन्तिक़ाल हुआ और उस की औ़रत के छः महीने से कम के अन्दर बच्चा पैदा हुआ तो इद्दत वज़अ़े हमल है और छः महीने या ज़ाइद में हुआ तो चार महीने दस दिन और नसब बहर हाल साबित न होगा और अगर शौहर मुराहिक़ हो तो दोनों सूरत में वज़अ़े हमल से इद्दत पूरी होगी और बच्चा साबितुन्नसब है (जौहरा ,दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जो शख़्स ख़स्सी था उस का इन्तिक़ाल हुआ और उस की औ़रत हामिला है या मरने के बाद हामिला होना मालूम हुआ तो इद्दत वज़अ़े हमल है और बच्चा साबितुन्नसब है (जौहरा)

मसअ्ला :– औ़रत को तलाक़े रजई दी थी और इद्दत में मरगया तो औ़रत मौत की इद्दत पूरी करे और तलाक़ की इद्दत जाती रही ख़्वाह सेहत की हालत में तलाक़ दी हो या मर्ज़ में और अगर बाइन तलाक़ दी थी या तीन तो तलाक़ की इद्दत पूरी करे जब कि सेहत में तलाक़ दी हो और अगर मर्ज़ में दी हो तो दोनों इद्दतें पूरी करे यानी चार महीने दस दिन में तीन हैज़ पूरे हो चुके तो इद्दत पूरी हो चुकी और अगर तीन हैज़ पूरे हो चुके हैं मगर चार महीने दस दिन पूरे न हुए तो उन को पूरा करे और अगर यह दिन पूरे हो गये मगर अभी तीन हैज़ न हुए तो उन के पूरे होने का इन्तिज़ार करे।(आ़म्मए कुतुब)

मसअ्ला :– औ़रत कनीज़ थी उसे रजई तलाक़ दी और इद्दत के अन्दर आज़ाद हो गई तो हुर्रा की इद्दत पूरी करे यानी तीन हैज़ या तीन महीने और तलाक़े बाइन या मौत की इद्दत में आज़ाद हुई तो बाँदी की इद्दत यानी दो हैज़ या डेढ़ महीना या दो महीना पाँच दिन (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औ़रत कहती है कि इद्दत पूरी हो चुकी अगर इतना ज़माना गुज़रा है कि पूरी हो सकती है तो क़सम के साथ उस का क़ौल मोअ्तबर है और अगर इतना ज़माना नहीं गुज़रा तो नहीं **महीनों से** इद्दत हो जब तो ज़ाहिर है कि उतने दिन गुज़रने पर इद्दत हो चुकी **और हैज़** से हो तो आज़ाद औ़रत के लिए कम अज़ कम साठ दिन हैं और लौन्डी के लिए चालीस बल्कि एक रिवायत में हुर्रा के लिए उन्तालीस दिन कि तीन हैज़ की कम से कम मुद्दत नौ दिन है और दो तुहर की तीस दिन और बान्दी के लिए इक्कीस दिन कि दो हैज़ के छः दिन और एक तोहर दरमियान का पन्द्रह दिन (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मुतल्लक़ा कहती है कि इद्दत पूरी हो गई कि हमल था साक़ित हो गया अगर हमल की मुद्दत इतनी थी कि अअ्ज़ा बन चुके थे तो मान लिया जायेगा वरना नहीं मसलन निकाह से एक महीने बाद तलाक़ दी और तलाक़ के एक माह बाद हमल साक़ित होना बताती है तो इद्दत पूरी न हुई कि बच्चे के अअ्ज़ा चार माह में बनते हैं (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अपनी औ़रत मुतल्लक़ा से इद्दत में निकाह किया और क़ब्ले वती तलाक़ देदी तो पूरा महर वाजिब होगा और सिरे से इद्दत बैठे **यूहीं अगर** पहला निकाह फ़ासिद था और दुख़ूल के बाद तफ़रीक़ हुई और इद्दत के अन्दर निकाहे सहीह कर के तलाक़ देदी या दुख़ूल के बाद कफ़ू न होने की वजह से तफ़रीक़ हुई फिर निकाह कर के तलाक़ दी या नाबालिग़ा से निकाह कर के वती की

फिर तलाक़ दी और इद्दत के अन्दर निकाह किया अब वह लड़की बालिग़ा हुई और अपने नफ़्स को इख़्तियार किया या नाबालिग़ा से निकाह करके वती की फिर लड़की ने बालिग़ा होकर अपने को इख़्तियार किया और इद्दत के अन्दर फिर उस से निकाह किया और क़ब्ल दुख़ूल तलाक़ देदी इन सब सूरतों में दूसरे निकाह का पूरा महर और तलाक़ के बाद इद्दत वाजिब है अगर्चे दूसरे निकाह के बाद वती नहीं हुई कि निकाह अव्वल की वती निकाहे सानी में भी वती क़रार दी जायेगी(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– बच्चा पैदा होने के बाद औरत को तलाक़ दी तो जबतक उसे तीन हैज़ न आलें दूसरे से निकाह नहीं कर सकती या सिन्ने अयास को पहुँचकर महीनों से इद्दत पूरी करे अगर्चे बच्चा पैदा होने से क़ब्ल उसे हैज़ न आया हो (दुर्रे मुख़्तार)

सोग का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है।

وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَ لٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ؕ وَ لَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ؕ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ۠

तर्जमा :– "और तुम पर गुनाह नहीं उस में कि इशारतन औरतों के निकाह का पैग़ाम दो या अपने दिल में छुपा रखो अल्लाह को मालूम है कि तुम उन की याद करोगे हाँ उन से ख़ुफ़िया वअ़्दा मत करो मगर यह कि उतनी ही बात करो। जो शरअ़ के मुवाफ़िक़ है। और अ़क़्द निकाह का पक्का इरादा न करो जब तक किताब का हुक्म अपनी मीआ़द को न पहुँच जाये और जान लो कि अल्लाह उस को जानता है जो तुम्हारे दिलों में है तो उस से डरो और जान लो कि अल्लाह बख़्शने वाला हिल्म वाला है"।

हदीस न.1 :– सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम में उम्मुलमोमिनीन उम्मे सल्मा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से मरवी कि एक औरत ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हो कर अ़र्ज़ की कि मेरी बेटी के शौहर की वफ़ात होगई (यानी वह इद्दत में है)और उस की आँखें दुखती हैं क्या उसे सुर्मा लगायें इरशाद फ़रमाया नहीं दो या तीन बार यही फ़रमाया कि नहीं फिर फ़रमाया कि यह तो यही चार महीने दस दिन हैं और जाहिलियत में तो एक साल गुज़रने पर मेंगनी फेंका करती थी। (यह जाहिलियत की रस्म थी कि साल भर की इद्दत एक झोंपड़े में गुज़ारती और निहायत मैले कुचैले कपड़े पहनती जब साल पूरा होता तो वहाँ से मेंगनी फेंकती हुई निकलती और अब इद्दत पूरी होती)

हदीस न.2. :– सहीहैन में उम्मुलमोमिनीन उम्मे हबीबा व उम्मुलमोमिनीन ज़ैनब बिन्ते जहश रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया जो औरत अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखती है उसे यह हलाल नहीं कि किसी मय्यत पर तीन रातों से ज़्यादा सोग करे मगर शौहर पर कि चार महीने दस दिन सोग करे।

हदीस न.3 :– उम्मे अ़तिया रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला

अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कोई औरत किसी मय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा सोग न करे मगर शौहर पर चार महीने दस दिन सोग करे और रंगा हुआ कपड़ा न पहने मगर वह कपड़ा कि बुनने से पहले उस का सूत जगह जगह बाँधकर रंगते हैं और सुर्मा न लगाये और न ख़ुश्बू छूये मगर जब हैज़ से पाक हो तो थोड़ा सा ऊ़द इस्तिअ़माल कर सकती है और अबू दाऊद की रिवायत में यह भी है कि मेहन्दी न लगाये।

हदीस न.4 :– अबू दाऊद व निसाई ने उम्मुलमोमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया जिस औरत का शौहर मरगया है वह न कुसुम का रंगा हुआ कपड़ा पहने और न गेरू का रंगा हुआ और न ज़ेवर पहने और न मेहन्दी लगाये और न सुर्मा

हदीस न.5 :– अबू दाऊद व निसाई उन्हीं से रावी कि जब शौहर अबू सलमा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु की वफ़ात हुई हुज़ूर मेरे पास तशरीफ़ लाये उस वक़्त मैंने मिसबर(एलुवा)लगा रखा था फ़रमाया उम्मे सलमा यह क्या है मैंने अ़र्ज़ की यह एलुवा है उस में ख़ुश्बू नहीं फ़रमाया उस से चेहरे में ख़ुबसूरती पैदा होती है अगर लगाना ही है तो रात में लगा लिया करो और दिन में साफ़ करडाला करो और ख़ुश्बू और मेहन्दी से बाल न संवारो मैंने अ़र्ज़ की तो कंघा करने के लिए क्या चीज़ सर पर लगाऊँ फ़रमाया कि बेरी के पत्ते सर पर थोप लिया करो फिर कंघा करो।

हदीस न.6 :– हज़रते अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु की बहन के शौहर को उन के गुलामों ने क़त्ल कर डाला था वह हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर होकर अ़र्ज़ करती हैं कि मुझे मैके में इद्दत गुज़ारने की इजाज़त दी जाये कि मेरे शौहर ने कोई अपना मकान नहीं छोड़ा और न ख़र्च छोड़ा। इजाज़त देदी फिर बुलाकर फ़रमाया उसी घर में रहो जिस में रहती हो जब तक इद्दत पूरी न हो लिहाज़ा उन्होंने चार माह दस दिन उसी मकान में पूरे किए।

मसअ्ला :– सोग के यह मअ़्ना हैं कि ज़ीनत को तर्क करे यानी हर क़िस्म के ज़ेवर चाँदी सोने जवाहिर वग़ैरहा के और हर क़िस्म और हर रंग के रेशम के कपड़े अगर्चे सियाह हों न पहने और ख़ुश्बू का बदन या कपड़ों में इस्तिअ़माल न करे और तेल का इस्तिअ़माल करे अगर्चे उस में ख़ुश्बू न हो जैसे रोग़ने ज़ैतून और कंघा करना और सियाह सुर्मा लगाना **यूहीं** सफ़ेद ख़ुश्बू लगाना और मेहन्दी लगाना और ज़अ़फ़रान या कुसुम या गेरू का रंगा हुआ या सुर्ख़ रंग का कपड़ा पहनना मनअ़ हैं इन सब चीज़ों का तर्क वाजिब है (जौहरा, दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी) यूँहीं पुड़िया का रंग गुलाबी, धानी, चम्पई, और तरह तरह के रंग जिन में तज़ैयुन (श्रंगार) होता है सब को तर्क करे।

मसअ्ला :– जिस कपड़े का रंग पुराना हो गया कि अब उसका पहनना ज़ीनत नहीं उसे पहन सकती है यूँही सियाह रंग के कपड़े में भी हर्ज नहीं जब्कि रेशम के न हों (आलमगीरी)

मसअ्ला :– उ़ज़्र की वजह से इन चीज़ों का इस्तिमाल कर सकती है मगर इस हाल में उसका इस्तिमाल ज़ीनत के क़स्द से न हो मसलन सर के दर्द की वजह से तेल लगा सकती है या तेल लगाने की आ़दी है जानती है कि न लगाने में दर्दे सर हो जायेगा तो लगाना जाइज़ है या दर्दे सर के वक़्त कघा कर सकती है मगर उस तरफ़ से जिधर के दन्दाने मोटे हैं उधर से नहीं जिधर बारीक हों कि यह बाल संवारने के लिए होते हैं और यह ममनूअ़ है या सुर्मा लगाने की ज़रूरत है

कि आँखों में दर्द है या ख़ारिश्त (खुजलाहट) है तो रेश्मी कपड़े पहन सकती है या उस के पास और कपड़ा नहीं है तो यही रेश्मी या रंगा हुआ पहने मगर यह ज़रूर है कि उन की इजाज़त ज़रूरत के वक़्त है लिहाज़ा बक़द्रे ज़रूरत इजाज़त है ज़रूरत से ज़्यादा ममनूअ् मसलन आँख की बीमारी में सुर्मा लगाने की ज़रूरत हो तो यह लिहाज़ ज़रूरी है कि स्याह सुर्मा उस वक़्त लगा सकती है जब सफ़ेद सुर्मा से काम न चले और अगर सिर्फ़ रात में लगाना काफ़ी है तो दिन में लगाने की इजाज़त नहीं (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– सोग उस पर है जो आक़िला, बालिग़ा, मुसलमान हो और मौत या तलाक़ बाइन की इद्दत हो अगर्चे औरत बान्दी हो शौहर के इन्नीन होने या अज़्वे तनासुल के कटे होने की वजह से फ़ुर्क़त हुई तो उस की इद्दत में भी सोग वाजिब है (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला :– तलाक़ देने वाला सोग करने से मनअ् करता है या शौहर ने मरने से पहले कह दिया था कि सोग न करना जब भी सोग करना वाजिब है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– नाबालिग़ा व मजनूना व काफ़िरा पर सोग नहीं हाँ अगर इसनाए इद्दत (इद्दत के दरमियान) में नाबालिग़ा बालिग़ा हुई मजनूना का जुनून जाता रहा और काफ़िरा मुसलमान होगई तो जो दिन बाक़ी रह गये हैं उन में सोग करे। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– उम्मे वलद को उस के मौला ने आज़ाद कर दिया मौला का इन्तिक़ाल हो गया तो इद्दत बैठेगी मगर उस इद्दत में सोग वाजिब नहीं यूँहीं निकाहे फ़ासिद और वती बिश्शुबह और तलाक़े रजई की इद्दत में सोग नहीं। (जौहरा आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी क़रीब के मरजाने पर औरत को तीन दिन तक सोग करने की इजाज़त है उस से ज़ाइद की नहीं और औरत शौहर वाली हो तो शौहर उस से भी मनअ् कर सकता है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– किसी के मरने के ग़म में स्याह कपड़े पहनना जाइज़ नहीं मगर औरत को तीन दिन तक शौहर के मरने पर ग़म की वजह से स्याह कपड़े पहनना जाइज़ है और स्याह कपड़े ग़म ज़ाहिर करने के लिए न हों तो मुतलक़न जाइज़ हैं (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– इद्दत के अन्दर चार पाई पर सो सकती है कि यह ज़ीनत में दाख़िल नहीं।

मसअ्ला :– जो औरत इद्दत में हो उस के पास सराहतन निकाह का पैग़ाम देना हराम है अगर्चे निकाह फ़ासिद या इत्क़ की इद्दत में हो और मौत की इद्दत हो तो इशारतन कह सकते हैं और तलाक़े रजई या बाइन या फ़स्ख़ की इद्दत में इशारतन भी नहीं कह सकते और वती बिश्शुबह या निकाहे फ़ासिद की इद्दत में इशारतन कह सकते हैं इशारतन कहने की सूरत यह है कि कहे मैं निकाह करना चाहता हूँ मगर यह न कहे कि तुझ से वरना सराहतन हो जायेगी या कहे मैं ऐसी औरत से निकाह करना चाहता हूँ जिस में यह यह वस्फ़ हों और वह औसाफ़ बयान करे जो उस औरत में हैं या मुझे तुझ जैसी कहाँ मिलेगी (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला :– जो औरत तलाक़े रजई या बाइन की इद्दत में है या किसी वजह से फ़ुर्क़त हुई अगर्चे शौहर के बेटे का बोसा लेने से और उस की इद्दत में हो या खुलअ् की इद्दत में हो अगर्चे नफ़्क़ा-ए-इद्दत पर खुलअ् हुआ हो या उस पर खुलअ् हुआ कि इद्दत में शौहर के मकान में न

रहेगी तो उन औरतों को घर से निकलने की इजाज़त नहीं न दिन में न रात में जब कि आज़ाद हो या लोन्डी हो जो शौहर के पास रहती है और आक़िला, बालिग़ा, मुस्लिमा हो अगर्चे शौहर ने उसे बाहर निकलने की इजाज़त भी दी हो और नाबालिग़ा लड़की तलाक़े रजई की इद्दत में शौहर की इजाज़त से बाहर जा सकती है और बग़ैर इजाज़त नहीं और नाबालिग़ा बाइन तलाक़ की इद्दत में इजाज़त व बे इजाज़त दोनों सूरतों में जा सकती है हाँ अगर क़रीबुलबुलूग़ (बालिग़ होने के क़रीब) है तो बग़ैर इजाज़त नहीं जा सकती और औरत पगली या बोहरी या किताबिया है तो जा सकती है मगर शौहर को मनअ़ करने का हक़ है मर्द व औरत मजूसी थे शौहर मुसलमान हो गया और औरत ने इस्लाम लाने से इन्कार किया और फ़ुर्क़त हो गई और मदख़ूला थी लिहाज़ा इद्दत भी वाजिब हुई तो इद्दत के अन्दर उस का शौहर निकलने से मनअ़ कर सकता है मौला ने उम्मे वलद को आज़ाद किया तो उस इद्दत में बाहर जा सकती है और निकाहे फ़ासिद की इद्दत में निकलने की इजाज़त है मगर शौहर मनअ़ कर सकता है (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– चन्द मकान का एक सिहन हो और वह सब मकान शौहर के हों तो सिहन में आ सकती है औरों के हों तो नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर किराये के मकान में रहती थी जब भी मकान बदलने की इजाज़त नहीं शौहर के ज़िम्मे ज़माना–ए–इद्दत का किराया है और शौहर ग़ाइब है और औरत ख़ुद किराया दे सकती है जब भी उसी में रहे (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मौत की इद्दत में अगर बाहर जाने की हाजत हो कि औरत के पास बक़द्र किफ़ायत माल नहीं और बाहर जाकर मेहनत मज़दूरी कर के लायेगी तो काम चलेगा तो उसे इजाज़त है कि दिन में और रात के कुछ हिस्से में बाहर जाये और रात का अकसर हिस्सा अपने मकान में गुज़ारे मगर हाजत से ज़्यादा बाहर ठहरने की इजाज़त नहीं और अगर बक़द्र किफ़ायत उस के पास ख़र्च मौजूद है तो उसे भी घर से निकलना मुतलक़न मनअ़ है और अगर ख़र्च मौजूद है मगर बाहर न जाये तो कोई नुक़सान पहुँचेगा।मसलन ज़राअ़त का कोई देखने भालने वाला नहीं और कोई ऐसा नहीं जिसे उस काम पर मुक़र्रर करे तो उस के लिए भी जा सकती है मगर रात को उसी घर में रहना होगा (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार) यूँही कोई सौदा लाने वाला न हो तो उस के लिए भी जा सकती है।

मसअ्ला :– मौत या फ़ुर्क़त के वक़्त जिस मकान में औरत की सुकूनत थी उसी मकान में इद्दत पूरी करे और यह जो कहा गया है कि घर से बाहर नहीं जा सकती उस से मुराद यही घर है और उस घर को छोड़ कर दूसरे मकान में भी सुकूनत नहीं कर सकती मगर बज़रूरत और ज़रूरत की सूरतें हम आगे लिखेंगे आज कल मामूली बातों को जिस की कुछ हाजत न हो महज़ तबीअ़त की ख़्वाहिश को ज़रूरत बोला करते हैं वह यहाँ मुराद नहीं बल्कि ज़रूरत वह है कि उस के बग़ैर चारा न हो।

मसअ्ला :– औरत अपने मैके गई थी या किसी काम के लिए कहीं और गई थी उस वक़्त शौहर ने तलाक़ दी या मरगया तो फ़ौरन बिला तवक़्क़ुफ़ वहाँ से वापस आये (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिस मकान में इद्दत गुज़ारना वाजिब है उस को छोड़ नहीं सकती मगर उस वक़्त कि

उसे कोई निकाल दे मसलन तलाक की इद्दत में शौहर ने घर में से उस को निकाल दिया या किराये का मकान है और इददत इद्दते वफ़ात है मालिके मकान कहता है कि किराया दे या मकान ख़ाली कर और उस के पास किराया नहीं या वह मकान शौहर का है मगर उस के हिस्से में जितना पहुँचा वह काबिले सुकूनत नहीं और वुरसा अपने हिस्सा में उसे रहने नहीं देते या किराया माँगते हैं और पास किराया नहीं। या मकान ढह रहा हो या ढहने का ख़ौफ़ हो या चोरों का ख़ौफ़ हो माल तल्फ़ हो जानेका अन्देशा है या आबादी के किनारे मकान है और माल वग़ैरा का अन्देशा है तो इन सूरतों में मकान बदल सकती है और अगर किराये का मकान हो और किराया दे सकती है या वुरसा को किराया दे कर रह सकती है तो उसी में रहना लाज़िम है और अगर हिस्सा इतना मिला कि उस के रहने के लिए काफ़ी है तो उसी में रहे और दीगर वुरसा-ए-शौहर जिन से पर्दा फ़र्ज़ है उन से पर्दा करे और अगर उस मकान में न चोर का ख़ौफ़ है न पड़ोसियों का मगर उस में कोई और नहीं है और तन्हा रहते ख़ौफ़ करती है तो अगर ख़ौफ़ ज़्यादा हो मकान बदलने की इजाज़त है वरना नहीं और तलाके बाइन की इद्दत है और शौहर फ़ासिक़ है और कोई वहाँ ऐसा नहीं कि अगर उस की नियत बद हो तो रोक सके ऐसी हालत में मकान बदल दे(आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– वफ़ात की इद्दत में अगर मकान बदलना पड़े तो उस मकान से जहाँ तक करीब का मयस्सर आ सके उसे ले और इद्दत तलाक की हो तो जिस मकान में शौहर उसे रखना चाहे और अगर शौहर ग़ाइब है तो औरत को इख़्तियार है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जब मकान बदला तो दूसरे मकान का वही हुक्म है जो पहले का था यानी अब उस मकान से बाहर जाने की इजाज़त नहीं मगर इद्दते वफ़ात में बवक़्ते हाजत बक़द्रे हाजत जिस का ज़िक्र पहले हो चुका। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– तलाके बाइन की इद्दत में यह ज़रूरी है कि शौहर व औरत में पर्दा हो यानी किसी चीज़ से आड़ करदी जाये कि एक तरफ़ शौहर रहे और दूसरी तरफ़ औरत। औरत का उसके सामने अपना बदन छुपाना काफ़ी नहीं उस वास्ते कि औरत अब अजनबिया है और अजनबिया से ख़लवत जाइज़ नहीं बल्कि यहाँ फ़ितना का ज़्यादा अन्देशा है और अगर मकान में तंगी हो इतना नहीं कि दोनों अलग अलग रह सकें तो शौहर उतने दिनों तक मकान छोड़ दे यह न करे कि औरत को दूसरे मकान में भेजदे और खुद उस में रहे कि औरत को मकान बदलने की बग़ैर ज़रूरत इजाज़त नहीं और अगर शौहर फ़ासिक़ हो तो उसे हुक्मन उस मकान से अलाहिदा कर दिया जाये और अगर न निकले तो उस मकान में कोई सिक़ा औरत रखदीजाये जो फ़ितना के रोकने पर क़ादिर हो और अगर रजई की इद्दत हो तो पर्दा की कुछ हाजत नहीं अगर्चे शौहर फ़ासिक़ हो कि यह निकाह से बाहर न हुई (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– तीन तलाक की इद्दत का भी वही हुक्म है जो तलाक बाइन की इद्दत का है ज़न व शौहर अगर बुढ़िया बूढ़े हों और फ़ुर्क़त वाक़ेअ् हुई और उन की औलादें हों जिन की मुफ़ारिक़त(जुदाई) गवारा न हो तो दोनों एक मकान में रह सकते हैं जब कि मियाँ बीवी की तरह न रहते हों(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– सफ़र में शौहर ने तलाके बाइन दी या उस का इन्तिकाल हुआ अब वह जगह शहर है या नहीं और वहाँ से जहाँ जाना है मुद्दते सफ़र है या नहीं और बहर सूरत मकान मुद्दते सफ़र है या

नहीं अगर किसी तरफ़ मुसाफ़ते सफ़र न हो तो औरत को इख़्तियार है वहाँ जाये या घर वापस आये उसके साथ महरम हो या न हो मगर बेहतर यह है कि घर वापस आये और अगर एक तरफ़ मुसाफ़ते सफ़र है दूसरी तरफ़ नहीं तो जिधर मुसाफ़ते सफ़र न हो उस को इख़्तियार करे और अगर दोनों तरफ़ मुसाफ़ते सफ़र है और वहाँ आबादी न हो तो इख़्तियार है जाये या वापस आये साथ में महरम हो या न हो और बेहतर घर वापस आना है और अगर उस वक़्त शहर में है तो वहीं इद्दत पूरी करे महरम या बग़ैर महरम न इधर आ सकती है न उधर जासकती और अगर उस वक़्त जंगल में है मगर रास्ता में गाँव या शहर मिलेगा और वहाँ ठहर सकती है कि माल या आबरू का अन्देशा नहीं और ज़रूरत की चीज़ें वहाँ मिलती हों तो वहीं इद्दत पूरी करे फिर महरम के साथ वहाँ से सफ़र करे (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत को इद्दत में शौहर सफ़र में नहीं लेजा सकता अगर्चे वह रजई की इद्दत हो(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– रजई की इद्दत के वही अहकाम हैं जो बाइन के हैं मगर उस के लिए सोग नहीं और सफ़र में रजई तलाक़ दी तो शौहर के साथ रहे और किसी तरफ़ मुसाफ़ते सफ़र है तो उधर नहीं जा सकती (दुर्रे मुख़्तार)

सुबूते नसब का बयान

हदीस में फ़रमाया बच्चा उस के लिए है जिस का फ़िराश है यानी औरत जिस की मनकूहा या कनीज़ हो) और ज़ानी के लिए पत्थर है।

मसअ्ला :– हमल की मुद्दत कम से कम छः महीने है और ज़्यादा से ज़्यादा दो साल लिहाज़ा जो औरत तलाक़े रजई की इद्दत में है और इद्दत पूरी होने का औरत ने इक़रार न किया हो और बच्चा पैदा हुआ तो नसब साबित है और अगर इद्दत पूरी होने का इक़रार किया और वह मुद्दत इतनी है कि उस में इद्दत पूरी हो सकती है और वक़्ते इक़रार से छः महीने के अन्दर बच्चा पैदा हुआ जब भी नसब साबित है कि बच्चा पैदा होने से मालूम हुआ कि औरत का इक़रार ग़लत था और उन दोनों सूरतों में विलादत से साबित हुआ कि शौहर ने रजअ़त कर ली है जबकि वक़्त से पूरे दो बरस या ज़्यादा हमल में बच्चा पैदा हुआ और वह दो बरस से कम में पैदा हुआ तो रजअ़त साबित न हुई मुमकिन है कि तलाक़ देने से पहले का हम्ल हो और अगर वक़्ते इक़रार से छः महीने पर बच्चा पैदा हुआ तो नसब साबित नहीं **यूहीं तलाक़** बाइन या मौत की इद्दत पूरी होने का औरत ने इक़रार किया और वक़्ते इक़रार से छः महीने से कम में बच्चा पैदा हुआ तो नसब साबित है वरना नहीं(दुर्रे मुख़्तार,आलमगीरी,फ़तावा क़ाज़ीख़ाँ)

मसअ्ला :– जिस औरत को बाइन तलाक़ दी और वक़्ते तलाक़ से दो बरस के अन्दर बच्चा पैदा हुआ तो नसब साबित है और दो बरस के बाद पैदा हुआ तो नहीं मगर जबकि शौहर उस बच्चा की निस्बत कहे कि यह मेरा है या एक बच्चा दो बरस के अन्दर पैदा हुआ दूसरा बाद में तो दोनों का नसब साबित हो जायेगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– वक़्ते निकाह से छः महीने के अन्दर बच्चा पैदा हुआ तो नसब साबित नहीं और छः महीने या ज़्यादा पर हुआ तो साबित है जबकि शौहर इक़रार करे या सुकूत और अगर कहता है कि बच्चा पैदा न हुआ तो एक औरत की गवाही से विलादत साबित हो जायेगी और अगर शौहर ने कहा था कि जब तू जने तो तुझ को तलाक़ और औरत बच्चा पैदा होना बयान करती है और शौहर

इन्कार करता है तो दो मर्द या एक मर्द और दो औरतों की गवाही से तलाक़ साबित होगी तन्हा जनाई की शहादत नाकाफ़ी है **यूँही अगर** शौहर ने हमल का इक़रार किया था या हमल ज़ाहिर था जब भी तलाक़ साबित है और नसब साबित होने के लिए फ़क़त जनाई का क़ौल काफ़ी है (जौहरा)और अगर दो बच्चे पैदा हुए एक छः महीने के अन्दर दूसरा छः महीने पर या छः महीने के बाद तो दोनों में किसी का नसब साबित नहीं (आलमगीरी)

मसअला :– निकाह में जहाँ नसब साबित होना कहा जाता है वहाँ कुछ यह ज़रूरी नहीं कि शौहर दअ्वा करे तो नसब होगा बल्कि सुकूत से भी नसब साबित होगा और अगर इन्कार करे तो नफ़ी न होगी जब तक लिआन न हो और अगर किसी वजह से लिआन न हो सके जब भी साबित होगा (आलमगीरी)

मसअला :– नाबालिग़ा को उस के शौहर ने बादे दुख़ूल तलाक़े रजई दी और उस ने हामिला होना ज़ाहिर किया तो अगर सत्ताईस महीने के अन्दर बच्चा पैदा हुआ तो साबितुन्नसब है और तलाक़ बाइन में दो बरस के अन्दर होगा तो साबित है वरना नहीं और अगर उस ने इद्दत पूरी होने का इक़रार किया है तो वक़्ते इक़रार से छः महीने के अन्दर होगा तो साबित है वरना नहीं और अगर न हामिला होना ज़ाहिर किया न इद्दत पूरी होने का इक़रार किया बल्कि सुकूत किया तो वही हुक्म है जो इद्दत पूरी होने के इक़रार का है (आलमगीरी)

मसअला :– शौहर के मरने के वक़्त से दो बरस के अन्दर बच्चा पैदा होगा तो नसब साबित है वरना नहीं यही हुक्म सग़ीरा का है जबकि हमल का इक़रार करती हो और अगर औरत सग़ीरा है जिस ने हमल का इक़रार किया न इद्दत पूरी होने का और दस महीने दस दिन से कम में हुआ तो साबित है वरना नहीं और अगर इद्दत पूरी होने का इक़रार किया और वक़्ते इक़रार यानी चार महीने दस दिन के बाद अगर छः महीने के अन्दर पैदा हुआ तो साबित है वरना नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत ने इद्दते वफ़ात में पहले यह कहा मुझे हमल नहीं फिर दूसरे दिन कहा हमल है तो उस का क़ौल मान लिया जायेगा और अगर चार महीने दस दिन पूरे होने पर कहा कि हमल नहीं है फिर हमल ज़ाहिर किया तो उस का क़ौल नहीं माना जायेगा मगर जबकि शौहर की मौत से छः महीने के अन्दर बच्चा पैदा हो तो उस का वह इक़रार कि इद्दत पूरी हो गई बातिल समझा जायेगा (ख़ानिया)

मसअला :– तलाक़ या मौत के बाद दो बरस के अन्दर बच्चा पैदा हुआ और शौहर या उस के वुरसा बच्चा पैदा होने से इन्कार करते हैं और औरत दअ्वा करती है तो अगर हमल ज़ाहिर था या शौहर ने हमल का इक़रार किया था तो विलायत साबित है अगर्चे जनाई भी शहादत न दे और वह साबितुन्नसब है और अगर न हमल था न शौहर ने हमल का इक़रार किया था तो उस वक़्त साबित होगा कि दो मर्द या एक मर्द दो औरत गवाही दें और मर्द किस तरह गवाही देंगे उस की सूरत यह है कि औरत तन्हा मकान में गई और उस मकान में कोई ऐसा बच्चा न था और बच्चा लिए हुए बाहर आई या मर्द की निगाह अचानक पड़गई देखा कि उस के बच्चा पैदा हो रहा है और क़स्दन निगाह की तो फ़ासिक़ है और उस की गवाही मरदूद (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– शौहर बच्चा पैदा होने का इक़रार करता है मगर कहता है कि यह बच्चा नहीं है तो उस के सुबूत के लिए जनाई की शहादत काफ़ी है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– इद्दते वफ़ात में बच्चा पैदा हुआ और बाज़ वुरसा ने तस्दीक़ की तो उस के हक़ में नसब साबित हो गया फिर अगर यह आदिल है और उसके साथ किसी और वारिस क़ाबिले शहादत ने भी तस्दीक़ की या किसी अजनबी ने शहादत दी तो वुरसा और ग़ैर सब के हक़ में नसब साबित हो गया यानी मसलन अगर उस लड़के ने दअ्वा किया कि मेरे बाप के फ़ुलाँ शख़्स पर इतने रुपये दैन हैं तो दअ्वा सुनने के लिए उसकी हाजत नहीं कि वह अपना नसब साबित करे और अगर तन्हा एक वारिस तस्दीक़ करता है या चन्द हों मगर वह आदिल न हों तो फ़क़त उन के हक़ में साबित है औरों के हक़ में साबित नहीं यानी मसलन अगर दीगर वुरसा उस सूरत में इन्कार करते हों तो औलाद होने की वजह से उन के हिस्से में कोई कमी न होगी और वारिस अगर तस्दीक़ करें तो उन के लिए इक़रार करने में लफ़्ज़े शहादत और मज्लिसे क़ाज़ी वग़ैरा कुछ शर्त नहीं मगर औरों के हक़ में उन का इक़रार उस वक़्त माना जायेगा जब आदिल हों हाँ अगर उस वारिस के साथ कोई ग़ैर वारिस है तो उस का फ़क़त यह कह देना काफ़ी न होगा कि यह फ़ुलाँ का लड़का है बल्कि लफ़्ज़े शहादत और मज्लिसे हुक्म वग़ैरा वह सब उमूर जो शहादत में शर्त हैं उस के लिए शर्त हैं (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– बच्चा पैदा हुआ औरत कहती है कि निकाह को छः महीने या ज़ाइद का अर्सा गुज़रा और मर्द कहता है कि छः महीने नहीं हुए तो औरत को क़सम खिलायें क़सम के साथ उस का क़ौल मोअ्तबर है और शौहर या उस के वुरसा गवाह पेश करना चाहें तो गवाह न सुने जायें (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– किसी लड़के की निस्बत कहा यह मेरा बेटा है और उस शख़्स का इन्तिक़ाल हो गया और उस लड़के की माँ जिस का हुर्रा व मुस्लिमा होना मालूम है यह कहती है कि मैं उस की औरत हूँ और यह उस का बेटा तो दोनों वारिस होंगे और अगर औरत का आज़ाद होना मशहूर न हो या पहले वह बान्दी थी और अब आज़ाद है और यह नहीं मालूम कि उलूक़ के वक़्त आज़ाद थी या नहीं और वुरसा कहते हैं तू उस की उम्मे वलद थी तो वारिस न होगी यूँहीं अगर वुरसा कहते हैं कि तू उस के मरने के वक़्त नसरानिया थी और उस वक़्त उस औरत का मुसलमान होना मशहूर नहीं है जब भी वारिस न होगी (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– औरत का बच्चा खुद औरत के क़ब्ज़ा में है शौहर के क़ब्ज़े में नहीं उस की निस्बत औरत यह कहती है कि यह लड़का मेरे पहले शौहर से है उस के पैदा होने के बाद मैंने तुझ से निकाह किया और शौहर कहता है कि मेरा है मेरे निकाह में पैदा हुआ तो शौहर का क़ौल मोअ्तबर है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी औरत से ज़िना किया फिर उस से निकाह किया और छः महीने या ज़ाइद में बच्चा पैदा हुआ तो नसब साबित है और कम में हुआ तो नहीं अगर्चे शौहर कहे कि यह ज़िना से मेरा बेटा है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– नसब का सुबूत इशारे से भी हो सकता है अगर्चे बोलने पर क़ादिर हो (आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी ने अपने नाबालिग़ लड़के का निकाह किसी औ़रत से कर दिया और लड़का इतना छोटा है कि न जिमाअ् कर सकता है न उस से हमल हो सकता है और औ़रत के बच्चा पैदा हुआ तो नसब साबित नहीं और अगर लड़का मुराहिक़ है और उस की औ़रत से बच्चा पैदा हुआ तो नसब साबित है (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– अपनी कनीज़ से वती करता है और बच्चा पैदा हुआ तो उस का नसब उस वक़्त साबित होगा कि यह इक़रार करे कि मेरा बच्चा है और वह लौन्डी उम्मे वलद होगई अब उस के बाद जो बच्चे पैदा होंगे उन में इक़रार की ह़ाजत नहीं मगर यह ज़रूर है कि नफ़ी करने से मुन्तफ़ी(ख़त्म)हो जायेगा मगर नफ़ी से उस वक़्त मुन्तफ़ी होगा कि ज़्यादा ज़माना न गुज़रा हो न क़ाज़ी ने उस के नसब का हुक्म दे दिया हो और उन में कोई बात पाई गई तो नफ़ी नहीं हो सकती और मुदब्बरा के बच्चा का नसब भी इक़रार से साबित होगा मन्कूहा के बच्चा का नसब साबित होने के लिए इक़रार की ह़ाजत नहीं बल्कि इन्कार की सूरत में लिआ़न करना होगा और जहाँ लिआ़न नहीं वहाँ इन्कार से भी काम न चलेगा (आ़लमगीरी रद्दुल मुहतार)

बच्चा की परवरिश का बयान

इमाम अह़मद व अबूदाऊद अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि एक औ़रत ने हुज़ूर से अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह मेरा यह लड़का है मेरा पेट उस के लिए ज़र्फ़ था और मेरे पिस्तान उस के लिए मश्क और मेरी गोद उस की मुह़ाफ़िज़ थी और उस के बाप ने मुझे तलाक़ देदी और अब उस को मुझ से छीनना चाहता है हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया तू ज़्यादा ह़क़दार है जब तक तू निकाह़ न करे स़ह़ीह़ैन में बर्रा इब्ने आ़ज़िब रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि सुल्हे हुदैबिया के बाद दूसरी साल में जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम उ़मरा–ए– क़ज़ा से फ़ारिग़ हो कर मक्का मुअ़ज़्ज़मा से रवाना हुए तो ह़ज़रत ह़म्ज़ा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु की साह़बज़ादी चचा चचा कहती पीछे होलीं ह़ज़रत अ़ली रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने उन्हें ले लिया और हाथ पकड़ लिया फिर ह़ज़रत अ़ली व ज़ैद इब्ने ह़ारिस व जअ़्फ़र तय्यार रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम में हर एक ने अपने पास रखना चाहा ह़ज़रत अ़ली रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने कहा मैंने ही उसे लिया और मेरे चचा की लड़की है और ह़ज़रत जअ़्फ़र रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने कहा मेरे चचा की लड़की है और उस की ख़ाला मेरी बीवी है और ह़ज़रत ज़ैद रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने कहा मेरे (रज़ाई)भाई की लड़की है हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने लड़की ख़ाला को दिलवाई और फ़रमाया कि ख़ाला बमन्ज़िला माँ के है और ह़ज़रत अ़ली से फ़रमाया कि तुम मुझ से हो और मैं तुम से और ह़ज़रत जअ़्फ़र से फ़रमाया कि तुम मेरी सूरत और सीरत में मुशाबह हो और ह़ज़रत ज़ैद से फ़रमाया कि तुम हमारे भाई और हमारे मौला (आज़ाद किये हुए) हो।

मसअ्ला :– बच्चा की परवरिश का ह़क़ माँ के लिए है ख़्वाह वह निकाह़ में हो या निकाह़ से बाहर होगई हो हाँ अगर वह मुर्तद हो गई तो परवरिश नहीं कर सकती या किसी फ़िस्क़ में मुब्तला है

जिस की वजह से बच्चे की तरबियत में फ़र्क़ आये मसलन ज़ानिया या चोर या नोहा करने वाली है तो उस की परवरिश में न दिया जाये बल्कि बाज़ फ़ुक़्हा ने फ़रमाया अगर वह नमाज़ की पाबन्द नहीं तो उसकी परवरिश में भी न दिया जाये मगर ज़्यादा सहीह यह है कि उस की परवरिश में उस वक़्त तक रहेगा कि ना समझ हो जब कुछ समझने लगे तो अ़लाहिदा करलें कि बच्चा माँ को देखकर वही आ़दत इख़्तियार करेगा जो उस की है यूँही माँ की परवरिश में उस वक़्त भी न दिया जाये जबकि ज़्यादातर बच्चे को छोड़ कर इधर उधर चली जाती हो अगर्चे उसका जाना किसी गुनाह के लिए न हो मसलन वह औ़रत मुर्दे नहलाती है या जनाई है या और कोई ऐसा काम करती है जिस की वजह से उसे अकसर घर से बाहर जाना पड़ता है या वह औ़रत कनीज़ या उम्मे वलद या मुदब्बर हो या मुकातिबा हो जिस से क़ब्ले अ़क़्दे किताबत बच्चा पैदा हुआ जब कि वह बच्चा आज़ाद हो और अगर आज़ाद न हो तो हक़्क़े परवरिश मौला के लिए है कि उस की मिल्क है मगर अपनी माँ से जुदा न किया जाये (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार वग़ैरहा)

मसअला :– अगर बच्चे की माँ ने बच्चा के ग़ैर महरम से निकाह कर लिया तो उसे परवरिश का हक़ न रहा और उस के महरम से निकाह किया तो हक़्क़े परवरिश बातिल न हुआ ग़ैर महरम से मुराद वह शख़्स है कि नसब की जिहत से बच्चा के लिए महरम न हो अगर्चे रिज़ाअ़ (दूध पिलाने का रिश्ता) की जिहत से महरम हो जैसे उस की माँ ने उस के रज़ाई चचा से शादी करली तो अब माँ की परवरिश में न रहेगा कि अगर्चे रज़ाई रिश्ते के लिहाज़ से बच्चे का चचा है मगर नसबन अजनबी है और नसबी चचा से निकाह किया तो बातिल नहीं। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– माँ अगर मुफ़्त परवरिश करना नहीं चाहती और बाप उजरत दे सकता है तो उजरत दे और तंग दस्त है तो माँ के बाद जिन को हक़्क़े परवरिश है अगर उन में कोई मुफ़्त परवरिश करे तो उस की परवरिश में दिया ज़ाये बशर्ते कि बच्चे के ग़ैर महरम से उस ने निकाह न किया हो और माँ से कह दिया जाये कि या मुफ़्त परवरिश कर या बच्चा फ़ुलाँ को देदे मगर माँ अगर बच्चे को देखना चाहे या उस की देख भाल करना चाहे तो मनअ़ नहीं कर सकते और अगर कोई दूसरी औ़रत ऐसी न हो जिस को हक़्क़े परवरिश है मगर कोई अजनबी शख़्स या रिश्ता दार मर्द मुफ़्त परवरिश करना चाहता है तो माँ ही को देंगे अगर्चे उस ने अजनबी से निकाह किया हो अगर्चे उजरत माँगती हो (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जिस के लिए हक़्क़े परवरिश है अगर वह इन्कार करे और कोई दूसरी न हो जो परवरिश करे तो परवरिश करने पर मजबूर की जायेगी यूँही अगर बच्चे की माँ दूध पिलाने से इन्कार करे और बच्चा दूसरी औ़रत का दूध न लेता हो या मुफ़्त कोई दूध नहीं पिलाती और बच्चा या उस के बाप के पास माल नहीं तो माँ दूध पिलाने पर मजबूर की जायेगी (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– माँ की परवरिश में बच्चा हो और वह उस के बाप के निकाह या इद्दत में हो तो परवरिश का मुआ़वज़ा नहीं पायेगी वरना उस का भी हक़ ले सकती है और दूध पिलाने की उजरत और बच्चा का नफ़्क़ा भी और अगर उस के पास रहने का मकान न हो तो यह भी बच्चे को ख़ादिम की ज़रूरत हो तो यह भी और यह सब अख़राजात अगर बच्चा का माल हो तो उस से दिये जायें वरना जिस पर बच्चा का नफ़्क़ा है उसी के ज़िम्मा यह सब भी हैं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– माँ ने अगर परवरिश से इन्कार कर दिया फिर यह चाहती है कि परवरिश करे तो रुजूअ् कर सकती है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– माँ अगर न हो या परवरिश की अहल न हो या इन्कार कर दिया या अजनबी से निकाह किया तो अब हक़े परवरिश नानी के लिए है यह भी न हो तो नानी की माँ, उस के बाद दादी, परदादी ऊपर बयान हुई शर्तों के साथ फिर हक़ीक़ी बहन, फिर अख़याफ़ी बहन(वह भाई बहन जिन के बाप अलग अलग और माँ एक हो)फिर सौतेली बहन,फिर हक़ीक़ी बहन की बेटी फिर अख़याफ़ी बहन की बेटी, फिर ख़ाला, यानी माँ की हक़ीक़ी बहन, फिर अख़याफ़ी, फिर सौतेली फिर सौतेली बहन की बेटी, फिर हक़ीक़ी भतीजी, फिर अख़याफ़ी भाई की बेटी, फिर सौतेले भाई की बेटी, फिर उसी तरतीब से फूफियाँ फिर माँ की ख़ाला, फिर बाप की ख़ाला, फिर माँ की फूफियाँ, फिर बाप की फूफियाँ, और उन सब में उसी तर्तीब का लिहाज़ है कि हक़ीक़ी फिर अख़याफ़ी फिर सौतेली और अगर कोई औरत परवरिश करने वाली न हो या हो मगर उसका हक़ साक़ित हो तो अ़सबात ब तरतीब अ़रस यानी बाप, फिर दादा फिर हक़ीक़ी भाई, फिर सोतेला फिर भतीजे, फिर चचा फिर उस के बेटे मगर लड़की को चचा ज़ाद भाई की परवरिश में न दें ख़ुसूसन जब कि मुश्तहात हो और अगर अ़सबात भी न हों तो ज़विलअरहाम की परवरिश में दें मसलन अख़याफ़ी भाई फिर उस का बेटा फिर माँ का चचा फिर हक़ीक़ी मामूँ, चचा और फूफ़ी और मामूँ, और ख़ाला की बेटियों को लड़के की परवरिश का हक़ नहीं (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर चन्द शख़्स एक दर्जा के हों तो उन में जो ज़्यादा बेहतर हो फिर वह कि ज़्यादा परहेज़गार हों फिर वह कि उन में बड़ा हो हक़दार है (आलमगीरी ,दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– बच्चे की माँ अगर ऐसे मकान में रहती है कि घर वाले बच्चे से बुग्ज़ रखते हैं तो बाप अपने बच्चे को उस से ले लेगा या औरत वह मकान छोड़ दे अगर माँ ने बच्चे के किसी रिश्तेदार से निकाह किया मगर वह महरम नहीं जब भी हक़ साक़ित हो जायेगा मसलन उस के चचा ज़ाद भाई से हाँ अगर माँ के बाद उसी चचा के लड़के का हक़ है या बच्चा लड़का है तो साक़ित न होगा (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अजनबी के साथ निकाह करने से हक़े परवरिश साक़ित होगया था फिर उस ने तलाके बाइन देदी या रजई दी मगर इद्दत पूरी हो गई तो हक़े परवरिश लौट आयेगा (हिदाया वगैरहा)

मसअ्ला :– पागल और बोहरे को हक़े परवरिश हासिल नहीं और अच्छे हो गये तो हक़ हासिल हो जायेगा यूँहीं मुर्तद था अब मुसलमान हो गया. तो परवरिश का हक़ उसे मिलेगा (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– बच्चा नानी या दादी के पास है और वह ख़्यानत करती है तो फूफी को इख़्तियार है कि उस से ले ले (आलमगीरी)

मसअ्ला :– बच्चे का बाप कहता है कि उस की माँ ने किसी से निकाह कर लिया और माँ इन्कार करती है तो माँ का क़ौल मोअ्तबर है और अगर यह कहती है कि निकाह तो किया था मगर उस ने तलाक़ देदी और मेरा हक़ लौट आया तो अगर इतना ही कहा यह न बताया कि किस से निकाह किया जब भी माँ का क़ौल मोअ्तबर है और अगर यह भी बताया कि फ़ुलाँ से निकाह किया था तो

अब जब तक वह शख़्स तलाक़ का इक़रार न करे महज़ उस औरत का कहना काफ़ी नहीं(ख़ानिया)

मसअ्ला :– जिस औरत के लिए हक़्क़े परवरिश है उस के पास लड़के को उस वक़्त तक रहने दें कि अब उसे उस की हाजत न रहे यानी अपने आप खाता पीता पहनता इस्तिन्जा कर लेता हो उस की मिक़दार सात बरस की उम्र है और अगर उम्र में इख़्तिलाफ़ हो तो अगर यह सब काम ख़ुद कर लेता हो तो उस के पास से अलाहिदा कर लिया जाये वरना नहीं और अगर बाप लेने से इन्कार करे तो जबरन उस के हवाले किया जाये और लड़की उस वक़्त तक औरत की परवरिश में रहेगी कि हद्दे शहवत को पहुँच जाये उस की मिक़दार नौ बरस की उम्र है और अगर उस उम्र से कम में लड़की का निकाह कर दिया गया जब भी उसी की परवरिश में रहेगी जिस की परवरिश में है निकाह कर देने से हक़्क़े परवरिश बातिल न होगा जब तक मर्द के क़ाबिल न हो (ख़ानिया,बहर, वग़ैराहुमा)

मसअ्ला :– सात बरस की उम्र से बुलूग़ तक लड़का अपने बाप या दादा या किसी और वली के पास रहेगा फिर जब बालिग़ हो गया और समझदार है कि फ़ितना या बदनामी का अन्देशा न हो और तादीब की ज़रूरत न हो तो जहाँ चाहे वहाँ रहे और अगर उन बातों का अन्देशा हो और तादीब की ज़रूरत हो तो बाप, दादा, वग़ैरा के पास रहेगा ख़ुद मुख़्तार न होगा मगर बालिग़ होने के बाद बाप पर नफ़्क़ा वाजिब नहीं अब अगर अख़राजात का मुतकफ़्फ़िल हो तो तबर्रअ् व एहसान(नेकी व अच्छी बात) है (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार) यह हुक्म फ़िक़्ही है मगर ज़माने की हालत को देखते हुए रखा जाये जब तक चाल चलन अच्छी तरह दुरुस्त न हो लें और पूरा वुसूक़ न होले कि अब उस की वजह से फ़ितना व आ़र न होगा कि आज कल अकसर सोहबतें मुख़रिबे अख़लाक़ (अख़लाक़ ख़राब करने वाली) होती हैं और नई उम्र में बहुत जल्द आती हैं।

मसअ्ला :– लड़की नौ बरस के बाद से जब तक कुँवारी है बाप दादा भाई वग़ैरहुम के यहाँ रहेगी मगर जबकि उम्र रसीदा हो जायेगी और फ़ितना का अन्देशा न हो तो उसे इख़्तियार है जहाँ चाहे रहे और लड़की सय्यब है मसलन बेवा है और फ़ितना का अन्देशा न हो तो उसे इख़्तियार है वरना बाप दादा वग़ैरा के यहाँ रहे और यह हम पहले बयान कर चुके कि चचा के बेटे को लड़की के लिए हक़्क़े परवरिश नहीं यही हुक्म अब भी है कि वह महरम नहीं बल्कि ज़रूर है कि महरम के पास रहे और महरम न हो तो किसी सिक़ा अमानत दार औरत के पास रहे जो उस की इफ़्फ़त (पारसाई) की हिफ़ाज़त कर सके और अगर लड़की ऐसी हो कि फ़साद का अन्देशा नहीं तो इख़्तियार है। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार आलमगीरी)

मसअ्ला :– लड़का बालिग़ न हुआ मगर काम के क़ाबिल हो गया है तो बाप उसे किसी काम में लगादे जो काम सिखाना चाहे उस के जानने वालों के पास भेजदे कि उन से काम सीखे नौकरी या मज़दूरी के क़ाबिल हो और बाप उस से नौकरी या मज़दूरी कराना चाहे तो नौकरी या मज़दूरी कराये और जो कमाये उस पर सर्फ़ करे और बच रहे तो उस के लिए जमअ् करता रहे और अगर बाप जानता है कि मेरे पास ख़र्च हो जायेगा तो किसी और के पास अमानत रखदे (दुर्रे मुख़्तार) मगर सब से मुक़द्दम यह है कि बच्चों को क़ुर्आन मजीद पढ़ायें और दीन की ज़रूरी बातें सिखाई जायें रोज़ा व नमाज़ तहारत और बैअ् व इजारा व दीगर मुआ़मलात के मसाइल जिन की रोज़ मर्रा

हाजत पड़ती है और ना वाक़िफ़ी से ख़िलाफ़े शरअ़ अमल करने के जुर्म में मुब्तला होते हैं उन की तअ़लीम हो अगर देखें कि बच्चा को इल्म की तरफ़ रुजहान है और समझदार है तो इल्म दीन की ख़िदमत से बढ़ कर क्या काम है और अगर इस्तिताअ़त(ताक़त)न हो तो तसहीह व तअ़लीमे अक़ाइद (अ़क़ाइद का इल्मे)और ज़रूरी मसाइल की तअ़लीम के बाद जिस जाइज़ काम में लगायें इख़्तियार है।

मसअ्ला :– लड़की को भी अ़क़ाइद व ज़रूरी मसाइल सिखाने के बाद किसी औ़रत से सिलाई और नक़्श व निगार वग़ैरा ऐसे काम सिखायें जिन की औ़रतों को अकसर ज़रूरत पड़ती है और खाना पकाने और दीगर उमूरे ख़ाना दारी में उस को सलीक़ा मन्द होने की कोशिश करें कि सलीक़ा वाली औ़रत जिस ख़ूबी से ज़िन्दगी बसर कर सकती है बद सलीक़ा नहीं कर सकती।

मसअ्ला :– लड़की को नौकर न रखायें कि जिस के पास नौकर रहेगी कभी ऐसा भी होगा कि मर्द के पास तन्हा रहे और यह बड़े ऐ़ब की बात है (रद्दुल मुह़्तार)

मसअ्ला :– ज़मानाए परवरिश में बाप यह चाहता है कि औ़रत से बच्चा लेकर कहीं दूसरी जगह चला जाये तो उस को यह इख़्तियार हासिल नहीं और अगर औ़रत चाहती है कि बच्चा को लेकर दूसरे शहर को चली जाये और दोनों शहरों में इतना फ़ासिला है कि बाप अगर बच्चा को देखना चाहे तो देखकर रात आने से पहले वापस आसकता है तो ले जा सकती है और उस से ज़्यादा फ़ासिला है तो ख़ुद भी नहीं जा सकती यही हुक्म एक गाँव से दूसरे गाँव या गाँव से शहर में जाने का है कि क़रीब है तो जाइज़ है वरना नहीं और शहर से गाँव में बग़ैर इजाज़त नहीं ले जा सकती हाँ अगर जहाँ जाना चाहती है वहाँ उस का मैका है और वहीं उस का निकाह हुआ है तो ले जा सकती है और अगर उस का मैका है मगर वहाँ निकाह नहीं हुआ बल्कि निकाह कहीं और हुआ है तो न मैके ले जा सकती है न वहाँ जहाँ निकाह हुआ माँ के अ़लावा कोई और परवरिश करने वाली ले जाना चाहती हो तो बाप की इजाज़त से ले जा सकती है मुसलमान या ज़िम्मी औ़रत बच्चा को दारुलहर्ब में मुत़लक़न नहीं ले जा सकती अगर्चे वहीं निकाह हुआ हो। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुह़्तार, आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– औ़रत को त़लाक़ देदी उस ने किसी अजनबी से निकाह कर लिया तो बाप बच्चा को उस से ले कर सफ़र में ले जासकता है जबकि कोई और परवरिश का ह़क़दार न हो वरना नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जब परवरिश का ज़मान पूरा हो चुका और बच्चा बाप के पास आ गया तो बाप पर यह वाजिब नहीं कि बच्चा को उस की माँ के पास भेजे न परवरिश के ज़माने में माँ पर बाप के पास भेजना लाज़िम था हाँ अगर एक के पास है और दूसरा उसे देखना चाहता है तो देखने से मनअ़ नहीं किया जा सकता (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औ़रत बच्चा को गहवारे में लिटाकर बाहर चली गई गहवारा गिरा और बच्चा मरगया तो औ़रत पर तावान नहीं कि उस ने ख़ुद ज़ाइअ़ नहीं किया। (ख़ानिया)

नफ़्क़ा का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है।

لِيُنفِقْ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَ مَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا اٰتٰهُ اللّٰهُ
لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا مَا اٰتٰهَا سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

तर्जमा :– "मालदार शख़्स अपनी वुसअ़त के लाइक़ ख़र्च करे और जिस की रोज़ी तंग है वह उस में से ख़र्च करे जो उसे ख़ुदा ने दिया अल्लाह किसी को तकलीफ़ नहीं देता मगर उतनी ही जितनी उसे ताक़त दी है क़रीब है कि अल्लाह सख़्ती के बाद आसानी पैदा कर दे"

और फ़रमाता है

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ لَا يُكَلَّفُ اللّٰهُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَ لَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۔

तर्जमा :– "जिस का बच्चा है उस पर औ़रतों का खाना और पहनना है दस्तूर के मुवाफ़िक़ किसी जान पर तकलीफ़ नहीं दी ज़ाती मगर उस की गुन्जाइश के लाइक़ मान कर उस के बच्चे के सबब ज़रर (नुक़्सान) न दिया जायेगा और न बाप को उस की औलाद के सबब और जो बाप के क़ाइम मक़ाम है उस पर भी ऐसा ही वाजिब है"।

और फ़रमाता है

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ۔

तर्जमा :–" औ़रतों को वहाँ रखो जहाँ ख़ुद रहो अपनी ताक़त भर और उन्हें ज़रर न दो कि उन पर तंगी करो"

हदीस न.1 :– सहीह मुस्लिम शरीफ़ में हज़रत जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने हज्जतुलविदा के ख़ुतबे में इरशाद फ़रमाया औ़रतों के बारे में ख़ुदा से डरो कि तुम्हारे पास क़ैदी की मिस्ल हैं अल्लाह की अमानत के साथ तुम ने उनको लिया और अल्लाह के कलिमे के साथ उन के फ़ुरुज(शर्मगाहों) को हलाल किया तुम्हारा उन पर यह हक़ है कि तुम्हारे बिछौनों पर मकानों में ऐसे शख़्स को न आने दें जिस को तुम नापसन्द रखते हो और अगर ऐसा करें तो तुम इस तरह मार सकते हो जिस से हड्डी न टूटे और उन का तुम पर यह हक़ है कि उन्हें खाने और पहनने को दस्तूर के मुवाफ़िक़ दो

हदीस न.2 :– सहीहैन में उम्मुलमोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से मरवी कि हिन्द बिन्ते उ़तबा ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह अबू सुफ़यान (मेरे शौहर)बख़ील हैं वह मुझे इतना नफ़्क़ा नहीं देते जो मुझे और मेरी औलाद को काफ़ी हो मगर उस सूरत में कि उन की बग़ैर इत्तिलाअ़ मैं कुछ ले लूँ (तो आया इस तरह लेना जाइज़ है) फ़रमाया कि उस के माल में से इतना तो ले सकती है जो तुझे और तेरे बच्चों का दस्तूर के मुवाफ़िक़ ख़र्च के लिए काफ़ी हो।

हदीस न.3 :– सहीह मुस्लिम में जाबिर बिन सुमरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुजूर अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब खुदा किसी को माल दे तो खुद अपने और घर वालों पर खर्च करे।

हदीस न.4 :– सहीह बुखारी में अबू मसऊद अन्सारी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुजूर ने फरमाया मुसलमान जो कुछ अपने अहल पर खर्च करे और नियत सवाब की हो तो यह उस के लिए सदका है।

हदीस न.5 :– बुखारी शरीफ में सअद इब्ने अबी वक्कास रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुजूर ने फरमाया जो कुछ तू खर्च करेगा वह तेरे लिए सदका है यहाँ तक कि लुक्मा जो बीवी के मुँह में उठाकर देदे।

हदीस न.6 :– सहीह मुस्लिम शरीफ में अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी को गुनाहगार होने के लिए इतना काफी है कि जिस का खाना उस के ज़िम्मे हो उसे खाने को न दे।

हदीस न.7 :– अबू दाऊद इब्ने माजा बरिवायत अम्र इब्ने शुऐब अन अबीहे अन जद्देही रावी कि एक शख्स ने हुजूर अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो कर अर्ज़ की कि मेरे पास माल है और मेरे वालिद को मेरे माल की हाजत है फरमाया तू और तेरे माल तेरे बाप के लिए हैं तुम्हारी औलाद तुम्हारी उमदा कमाई से हैं अपनी औलाद की कमाई खाओ।

मसअला :– नफ्का से मुराद खाना, कपड़ा रहने का मकान है और नफ्का वाजिब होने के तीन सबब हैं ज़ौजियत, नसब, मिल्क, (जौहरा दुर्रे मुख्तार)

मसअला :– जिस औरत से निकाह सहीह हो उस का नफ्का शौहर पर वाजिब है औरत मुसलमान हो या काफिरा आज़ाद हो या मुकातिबा मोहताज हो या मालदार दुखूल हो या नहीं बालिग़ा हो या नाबालिग़ा हो मगर नाबालिग़ा में शर्त यह है कि जिमाअ की ताकत रखती हो या मुश्तहात हो और शौहर की जानिब कोई शर्त नहीं बल्कि कितना ही सग़ीरुस्सिन (कम उम्र)हो उस पर नफ्का वाजिब है उस के माल से दिया जायेगा और अगर उस की मिल्क में माल न हो तो उस की औरत का नफ्का उस के बाप पर वाजिब नहीं हाँ अगर उस के बाप ने नफ्का की ज़मानत की हो तो बाप पर वाजिब है शौहर इन्नीन है या उसका अज़वे तनासुल (लिंग) कटा हुआ है या मरीज़ है कि जिमाअ की ताकत नहीं रखता या हज को गया है जब भी नफ्का वाजिब है (आलमगीरी ,दुर्रे मुख्तार)

मसअला :– नाबलिग़ा जो काबिले जिमाअ न हो उस का नफ्का शौहर पर वाजिब नहीं ख्वाह शौहर के यहाँ हो या अपने बाप के घर जब तक काबिले वती न हो जाये हाँ अगर उस काबिल हो कि खिदमत कर सके या उस से उन्स हासिल हो सके और शौहर ने अपने मकान में रखा तो नफ्का वाजिब है और नहीं रखा तो नहीं। (आलमगीरी दुर्रे मुख्तार)

मसअला :– औरत का मकाम बन्द है जिस के सबब से वती नहीं हो सकती या दीवानी है या बोहरी तो नफ्का वाजिब है। (दुर्रे मुख्तार)

मसअला :– ज़ौजा कनीज़ है या मुदब्बरा या उम्मे वलद तो नफ्का वाजिब होने के लिए तबवियह शर्त है यानी अगर मौला के घर रहती है तो वाजिब नहीं (जौहरा)

मसअला :– निकाहे फासिद मसलन बग़ैर गवाहों के निकाह हो तो उस या उस की इद्दत में नफ्का वाजिब नहीं यूँहीं वती बिश्शुबह में और अगर बज़ाहिर निकाह सहीह हुआ और काज़ी–ए–शरअ ने

नफ़्क़ा मुक़र्रर कर दिया बाद को मालूम हुआ कि निकाह सहीह नहीं मसलन वह औरत उस की रज़ाई बहन साबित हुई तो जो कुछ नफ़्क़ा दिया है वापस ले सकता है और अगर बतौर खुद बिला हुक्मे क़ाज़ी दिया है तो नहीं ले सकता (जौहरा, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अन्जाने में औरत की बहन या फूफी या ख़ाला से निकाह किया बाद को मालूम हुआ और तफ़रीक़ हुई तो जब तक उस की इद्दत पूरी न होगी औरत से जिमाअ् नहीं कर सकता मगर औरत का नफ़्क़ा वाजिब है और उस की बहन फूफी ख़ाला का नहीं अगर्चे उन औरतों पर इद्दत वाजिब है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– बालिग़ा औरत जब अपने नफ़्क़ा का मुतालबा करे और अभी रुख़सत नहीं हुई है तो उस का मुतालबा दुरुस्त है जबकि शौहर ने अपने मकान पर ले जाने को उस से न कहा हो और अगर शौहर ने कहा तू मेरे यहाँ चल और औरत ने इन्कार न किया जब भी नफ़्क़ा की मुस्तहक़ है और अगर औरत ने इन्कार किया तो उस की दो सूरतें हैं अगर कहती है जब तक महर मुअ़ज्जल न दोगे नहीं जाऊँगी जब भी नफ़्क़ा पायेगी कि उस का इन्कार नाहक़ नहीं और अगर इन्कार नाहक़ है मसलन महर मुअ़ज्जल अदा कर चुका है या महर मुअ़ज्जल था ही नहीं या औरत मुआफ़ कर चुकी है तो नफ़्क़ा की मुस्तहक़ नहीं जब तक शौहर के मकान पर न आये (आलमगीरी)

मसअ्ला :– दुखूल होने के बाद अगर औरत शौहर के यहाँ आने से इन्कार करती है तो अगर महर मुअ़ज्जल का मुतालबा करती है कि दे दो तो चलूँ तो नफ़्क़ा की मुस्तहक़ है वरना नहीं।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– शौहर के मकान में रहती है मगर उस के क़ाबू में नहीं आती तो नफ़्क़ा साक़ित नहीं और अगर जिस मकान में रहती है वह औरत की मिल्क है और शौहर का आना वहाँ बन्द कर दिया तो नफ़्क़ा नहीं पायेगी हाँ अगर उस ने शौहर से कहा कि मुझे अपने मकान में ले चलो या मेरे लिए किराये पर कोई मकान ले दो और शौहर न ले गया तो क़ुसूर शौहर का है लिहाज़ा नफ़्क़ा की मुस्तहक़ हैं। यूँही अगर शौहर ने पराया मकान ग़सब कर लिया है उस में रहता है औरत वहाँ रहने से इन्कार करती है तो नफ़्क़ा की मुस्तहक़ है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– शौहर औरत को सफ़र में ले जाना चाहता है और औरत इन्कार करती है या औरत मुसाफ़ते सफ़र पर है शौहर ने किसी अजनबी शख़्स को भेजा कि उसे यहाँ अपने साथ ले आ औरत उस के साथ जाने से इन्कार करती है तो नफ़्क़ा साक़ित न होगा और अगर औरत के महरम को भेजा और आने से इन्कार करे तो नफ़्क़ा साक़ित है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औरत शौहर के घर बीमार हुई या बीमार होकर उस के यहाँ गई या अपने ही घर रही मगर शौहर के यहाँ जाने से इन्कार न किया तो नफ़्क़ा वाजिब है और अगर शौहर के यहाँ बीमार हुई और अपने बाप के यहाँ चली गई अगर इतनी बीमार है कि डोली वग़ैरा पर भी नहीं आ सकती तो नफ़्क़ा की मुस्तहक़ है और अगर आ सकती है मगर नहीं आई तो नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औरत शौहर के यहाँ से नाहक़ चली गई तो नफ़्क़ा नहीं पायेगी जब तक वापस न आये और अगर उस वक़्त वापस आई कि शौहर मकान पर नहीं बल्कि परदेश चला गया है जब भी नफ़्क़ा की मुस्तहक़ है और अगर औरत यह कहती है कि मैं शौहर की इजाज़त से गई थी और शौहर इन्कार करता है या यह साबित हो गया कि बिला इजाज़त चली गई थी मगर औरत कहती है कि गई तो थी बग़ैर इजाज़त मगर कुछ दिनों शौहर ने वहाँ रहने की इजाज़त देदी थी तो

बज़ाहिर औरत का क़ौल मोअ्तबर न होगा। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– चन्द महीने का नफ़्क़ा शौहर पर बाक़ी था औरत उस के मकान से बग़ैर इजाज़त चली गई तो यह नफ़्क़ा भी साक़ित हो गया और लौट कर आये जब भी उस की मुस्तहक़ न होगी

और अगर बा इजाज़त उस ने क़र्ज़ ले कर नफ़्क़ा में सर्फ़ किया था और अब चली गई तो साक़ित न होगा। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– औरत अगर क़ैद हो गई अगर्चे ज़ुल्मन तो शौहर पर नफ़्क़ा वाजिब नहीं हाँ अगर्चे खुद शौहर का औरत पर दैन था उसी ने क़ैद कराया तो साक़ित न होगा **यूहीं** अगर औरत को कोई उठा ले गया या छीन ले गया जब भी शौहर पर नफ़्क़ा वाजिब नहीं (जौहरा)

मसअ्ला :– औरत हज के लिए गई और शौहर साथ न हो तो नफ़्क़ा वाजिब नहीं अगर्चे महरम के

साथ गई हो अगर्चे हज फ़र्ज़ हो अगर्चे शौहर के मकान पर रहती थी और अगर शौहर के हमराह है तो नफ़्क़ा वाजिब है हज फ़र्ज़ हो या नफ़्ल मगर सफ़र के मुताबिक़ नफ़्क़ा वाजिब नहीं

बल्कि हज़र(घर पर रहने) का नफ़्क़ा वाजिब है लिहाज़ा किराया वग़ैरा मसारिफ़े सफ़र शौहर पर वाजिब नहीं (जौहरा ख़ानिया)

मसअ्ला :– किसी औरत को हमल है लोगों को शुबह है कि फ़ुलाँ शख़्स का हमल है लिहाज़ा औरत के बाप ने उसी से निकाह कर दिया मगर वह कहता है कि हमल से नहीं तो निकाह हो जायेगा मगर नफ़्क़ा वाजिब नहीं और अगर हमल का इक़रार करता है तो नफ़्क़ा वाजिब है(आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिस औरत को तलाक़ दी गई है बहर हाल इद्दत के अन्दर नफ़्क़ा पायेगी तलाक़ रजई हो या बाइन या तीन तलाक़ें औरत को हमल हो या नहीं (ख़ानिया)

मसअ्ला :– जो औरत बे इजाज़त शौहर के घर से चली जाया करती है इस बिना पर उसे तलाक़ देदी तो इद्दत का नफ़्क़ा नहीं पायेगी हाँ अगर बादे तलाक़ शौहर के घर में रही और बाहर जाना

छोड़ दिया तो पायेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जब तक औरत सिन्ने अयास (बुढ़ापे की ऐसी उम्र जिस में हैज़ आना बन्द हो जाता है)को न पहुँचे उस की इद्दत तीन हैज़ है जैसा कि पहले मालूम हो चुका और अगर उस उम्र से पहले किसी वजह से जवान औरत को हैज नहीं आता तो उस की इद्दत कितनी ही तवील हो ज़माना–ए–इद्दत का नफ़्क़ा वाजिब है यहाँ तक कि अगर सिने अयास तक हैज़ न आया तो बाद अयास तीन माह गुज़रने पर इद्दत ख़त्म होगी और उस वक़्त तक नफ़्क़ा देना होगा हाँ अगर शौहर गवाहों से साबित कर दे कि औरत ने इक़रार किया है कि तीन हैज़ आये और इद्दत ख़त्म होगई तो नफ़्क़ा साक़ित कि इद्दत पूरी हो चुकी और अगर औरत को

तलाक़ हुई उस ने अपने को हामिला बताया तो वक़्ते तलाक़ से दो बरस तक वज़अ़े हमल का इन्तिज़ार किया जाये वज़अ़े हमल तक
नफ़्क़ा वाजिब है और दो बरस पर भी बच्चा न हो और औरत कहती है कि मुझे हैज़ नहीं आया और हमल का गुमान था तो नफ़्क़ा बराबर लेती रहेगी यहाँ तक कि तीन हैज़ आयें या सिने अयास
आकर तीन महीने गुज़र जायें (ख़ानिया)

मसअ्ला :– इद्दत के नफ़्क़ा का न दअ्वा किया न क़ाज़ी ने मुक़र्रर किया तो इद्दत गुज़रने बाद नफ़्क़ा साक़ित हो गया।

मसअ्ला :– मफ़्क़ूद (जो लापता हो) की औरत ने निकाह कर लिया और उस दूसरे शौहर ने दुख़ूल भी कर लिया है अब पहला शौहर आया औरत और दूसरे शौहर में तफ़रीक़ कर दी जायेगी और औरत इद्दत गुज़ारेगी मगर उस का नफ़्क़ा न पहले शौहर पर है न दूसरे पर।

मसअ्ला :– अपनी मदख़ूला औरत को तीन तलाक़ें देदीं औरत ने इद्दत में दूसरे से निकाह कर लिया और दुख़ूल भी हुआ तो तफ़रीक़ कर दी जाये और पहले शौहर पर नफ़्क़ा है और मन्कूहा ने दूसरे से निकाह किया और दुख़ूल के बाद मालूम हुआ और तफ़रीक़ कराई गई फिर शौहर को मालूम हुआ उस ने तीन तलाक़ें देदीं तो औरत की इद्दत वाजिब है और नफ़्क़ा किसी पर नहीं (ख़ानिया)

मसअ्ला :– इद्दत अगर महीनों से हो तो किसी मिक़दारे मुअय्यन पर सुलह हो सकती है और हैज़ या वज़अ़े हमल से हो तो नहीं कि यह मालूम नहीं कितने दिनों में इद्दत पूरी होगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– वफ़ात की इद्दत में नफ़्क़ा वाजिब नहीं ख़्वाह औरत को हमल हो या नहीं यूहीं जो फ़ुरक़त औरत की जानिब से मअ्सियत (गुनाह) के साथ हो उस में भी नहीं मसलन औरत मुरतद्दा होगई या शहवत के साथ शौहर के बेटे या बाप का बोसा लिया शहवत के साथ छुआ हाँ अगर मजबूर की गई तो साक़ित न होगा **यूहीं अगर** इद्दत में औरत मुरतद्दा होगई तो नफ़्क़ा साक़ित हो गया फिर अगर इस्लाम लाई तो नफ़्क़ा का हुक्म होगा और अगर इद्दत में शौहर के बेटे या बाप का बोसा लिया तो नफ़्क़ा साक़ित न हुआ **और जो जुदाई** बीवी की जानिब मुबाह(जवाज़) की वजह से हो उस में नफ़्क़ा–ए–इद्दत साक़ित नहीं मसलन ख़ियारे इत्क़ (आज़ाद होने पर अपने नफ़्स का इख़्तेयार)ख़ियारे बुलूग़ (बालिग़ होने पर अपने नफ़्स का इख़्तेयार)औरत को हासिल हुआ उस ने अपने नफ़्स को इख़्तियार किया बशर्ते कि दुख़ूल के बाद हो वरना इद्दत ही नहीं और ख़ुलअ् में नफ़्क़ा है हाँ अगर ख़ुलअ् उस शर्त पर हुआ कि औरत नफ़्क़ा व सुकना मुआफ़ करे तो नफ़्क़ा अब नहीं पायेगी मगर सुकना से शौहर अब भी बरी नहीं कि औरत उसको मुआफ़ करने का इख़्तियार नहीं रखती (जौहरा)

मसअ्ला :– औरत से ईला या ज़िहार या लिआ़न किया या शौहर मुरतद हो गया या शौहर ने औरत की माँ से जिमाअ् किया इन्नीन की औरत ने फ़ुर्क़त इख़्तियार की तो इन सब सूरतों में नफ़्क़ा पायेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत ने किसी के बच्चे को दूध पिलाने की नौकरी की मगर दूध पिलाने जाती नहीं

बल्कि यहाँ लाते हैं तो नफ़्क़ा साक़ित नहीं अलबत्ता शौहर को इख़्तियार है कि उस से रोक दे बल्कि अगर अपने बच्चे को जो दूसरे शौहर से है दूध पिलाये तो शौहर को मनअ् कर देने का इख़्तियार हासिल है बल्कि हर ऐसे काम से मनअ् कर सकता है जिस से उसे ईज़ा होती है यहाँ तक कि सिलाई वग़ैरा ऐसे कामों से भी मनअ् कर सकता है बल्कि अगर शौहर को मेहन्दी की बू ना पसन्द है तो मेहन्दी लगाने से भी मनअ् कर सकता है और अगर दूध पिलाने वहाँ जाती है ख़्वाह दिन में वहाँ रहती है या रात में तो नफ़्क़ा साक़ित है यूँहीं अगर औरत मुर्दा नहलाने या दाई का काम करती है और अपने काम के लिए बाहर जाती है मगर रात में शौहर के यहाँ रहती है अगर शौहर ने मनअ् किया और बग़ैर इजाज़त गई तो नफ़्क़ा साक़ित है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर मर्द व औरत दोनों मालदार हों तो नफ़्क़ा मालदारों का सा होगा और दोनों मोहताज हों तो मोहताजों का सा और एक मालदार है दूसरा मोहताज तो मुतवस्सित दर्जा का यानी मोहताज जैसा खाते हों उस से उमदा और अग़निया जैसा खाते हों उस से कम और शौहर मालदार हो और औरत मोहताज तो बेहतर यह है कि जैसा आप खाता हो औरत को भी खिलाये मगर यह वाजिब नहीं वाजिब मुतवस्सित है (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– नफ़्क़ा का तअय्युन (ख़ास करना) रुपयों से नहीं किया जा सकता कि हमेशा उतने ही रुपये दिये जायें इस लिए कि नर्ख़ बदलता रहता है अरज़ानी व गिरानी दोनों के मसारिफ़ यकसाँ नहीं हो सकते बल्कि गिरानी में उस के लिहाज़ से तअ्दाद बढ़ाई जायेगी और अरज़ानी में कम की जायेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत आटा पीसने रोटी पकाने से इन्कार करती है अगर वह ऐसे घराने की है कि उन के यहाँ की औरतें अपने आप यह नहीं करतीं या वह बीमार या कमज़ोर है कि नहीं कर सकती तो पका हुआ खाना देना होगा या कोई ऐसा आदमी दे जो खाना पका दे पकाने पर मजबूर नहीं की जासकती और अगर न ऐसे घराने की है न कोई सबब ऐसा है कि खाना न पका सके तो शौहर पर यह वाजिब नहीं कि पका हुआ उसे दे और अगर औरत ख़ुद पकाती है मगर पकाने की उजरत माँगती है तो उजरत नहीं दी जायेगी (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– खाना पकाने के तमाम बर्तन और सामान शौहर पर वाजिब हैं मसलन चक्की, हान्डी तवा, चिमटा, रकाबी, प्याला, चमचा, वग़ैरहा जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हस्बे हैसियत अअ्ला, अदना, मुतवस्सित यूँही हस्बे हैसियत असासुलबैत (घर का सामान) देना वाजिब मसलन चटाई, दरी, क़ालीन, चारपाई, लिहाफ़, तोशक, तकिया, चादर वग़ैरहा यूहीं कंघा, तेल, सर धोने के लिए खली वग़ैरा और साबुन या बेसन मैल दूर करने के लिए। और सुर्मा मिस्सी मेहन्दी देना शौहर पर वाजिब नहीं अगर लाये तो औरत को इस्तिअ्माल ज़रूरी है इत्र वग़ैरा ख़ुश्बू की इतनी ज़रूरत है जिस से बग़ल और पसीना की बू को दफ़अ् कर सके (जौहरा वग़ैरहा)

मसअ्ला :– गुस्ल व वुज़ू का पानी तो उन के मसारिफ़ शौहर के ज़िम्मे हैं औरत ग़नी हो या फ़क़ीर

मसअ्ला :– औरत अगर चाय या हुक़्क़ा पीती है तो उन के मसारिफ़ शौहर पर वाजिब नहीं अगर्चे न पीने से उस को ज़रर पहुँचेगा (रद्दुल मुहतार)यूँही पान, छालिया, तम्बाकू शौहर पर वाजिब नहीं।

मसअ्ला :– औरत बीमार हो तो उस की दवा की क़ीमत और तबीब की फ़ीस शौहर पर वाजिब

नहीं फ़स्द या पुछन्ने की ज़रूरत हो तो यह भी शौहर पर नहीं (जौहरा)
मसअला :– बच्चा पैदा हो तो जनाई की उजरत शौहर पर है अगर शौहर ने बुलाया और औरत पर है अगर औरत ने बुलवाया और अगर वह ख़ुद बग़ैर उन दोनों में किसी के बुलाये आजाये तो ज़ाहिर यह है कि शौहर पर है (बहर, रद्दुल मुहतार)
मसअला :– साल में दो जोड़े कपड़े देना वाजिब हैं हर शशमाही पर एक जोड़ा जब एक जोड़ा कपड़ा देदिया तो जबतक मुद्दत पूरी न हो देना वाजिब नहीं और अगर मुद्दत के अन्दर फाड़डाला और आदतन जिस तरह पहना जाता है उस तरह पहनती तो नहीं फटता तो दूसरे कपड़े इस शशमाही में वाजिब नहीं वरना वाजिब हैं और अगर मुद्दत पूरी होगई और जोड़ा बाक़ी है तो अगर पहना ही नहीं या कभी उस को पहनती थी और कभी और कपड़े इस वजह से बाक़ी है तो अब दूसरा जोड़ा देना वाजिब है और अगर यह वजह नहीं बल्कि कपड़ा मज़बूत था उस वजह से नहीं फटा तो दूसरा जोड़ा वाजिब नहीं (जौहरा)
मसअला :– जाड़ों में जाड़े के मुनासिब और गर्मियों में गर्मी के मुनासिब कपड़े दे मगर बहर हाल उसका लिहाज़ ज़रूरी है कि अगर दोनों मालदार हों तो मालदारों के से कपड़े हों और मुहताज हों तो ग़रीबों के से और एक मालदार हो और एक मोहताज तो मुतवस्सित जैसे खाने में तीनों बातों का लिहाज़ हैं और लिबास में उस शहर के रिवाज का एअ्तिबार है जाड़े गर्मी में जैसे कपड़ों का वहाँ चलन है वह दे चमड़े के मौज़े औरत के लिए शौहर पर वाजिब नहीं मगर औरत की बान्दी के मौज़े शौहर पर वाजिब हैं। और सूती, ऊनी मौज़े जो जाड़ों में सर्दी की वजह से पहने जाते हैं यह देने होंगे (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)
मसअला :– औरत जब रूख़्सत हो कर आई तो उसी वक़्त से शौहर के ज़िम्मे उस का लिबास है उस का इन्तिज़ार न करेगा कि छः महीने गुज़रले तो कपड़े बनाये अगर्चे औरत के पास कितने ही जोड़े हों न औरत पर यह वाजिब कि मैके से जो कपड़े लाई है वह पहने बल्कि अब सब शौहर के ज़िम्मे है (रद्दुल मुहतार)
मसअला :– शौहर को ख़ुद ही चाहिए कि औरत के मसारिफ़ अपने ज़िम्मे ले यानी जिस चीज़ की ज़रूरत हो लाकर या मंगा कर दे और अगर लाने में ढील डालता है तो क़ाज़ी कोई मिक़दार वक़्त और हाल के लिहाज़ से मुक़र्रर कर दे कि शौहर वह रक़म देदिया करे और औरत अपने तौर पर ख़र्च करे और अगर अपने ऊपर तकलीफ़ उठा कर औरत उस में से कुछ बचाले तो वह औरत का है वापस न करेगी न आइन्दा के नफ़्क़ा में मुजरा देगी और अगर शौहर बक़द्र किफ़ायत औरत को नहीं देता तो बग़ैर इजाज़त शौहर औरत उस के माल से लेकर सर्फ़ कर सकती है (बहर, रद्दुल मुहतार)
मसअला :– नफ़्क़ा की मिक़दार मुअय्यन की जाये तो उस में जो तरीक़ा आसान हो वह बरता जाये मसलन मज़दूरी करने वाले के लिए यह हुक्म दिया जायेगा कि वह औरत को रोज़ाना शाम को इतना दे दिया करे कि दूसरे दिन के लिए काफ़ी हो कि मज़दूर एक महीने के तमाम मसारिफ़ एक साथ नहीं दे सकता और ताजिर और नौकरी पेशा जो माहवार तनख़्वाह पाते हैं महीने का नफ़्क़ा एक साथ दे दिया करें और हफ़्ता में तनख़्वाह मिलती है तो हफ़्तावार और खेती करने वाले हर साल या रबीअ् व ख़रीफ़ दो फ़सलों में दिया करें (दुर्रे मुख़्तार)
मसअला :– अगर शौहर बाहर चला जाता हो और औरत को ख़र्च की ज़रूरत पड़ती हो तो उसे यह हक़ है कि शौहर से कहे किसी को ज़ामिन बना दो कि महीने पर उस से ख़र्च ले लूँ फिर

अगर औरत को मालूम है कि शौहर एक महीने तक बाहर रहेगा तो एक महीने के लिए ज़ामिन तलब करे और यह मालूम है कि ज़्यादा दिनों सफ़र में रहेगा मसलन हज को जाता है तो जितने दिनों के लिए जाता है उतने दिनों के लिए ज़ामिन माँगे और उस शख़्स ने अगर कह दिया कि मैं हर महीने में दे दिया करूँगा तो हमेशा के लिए ज़ामिन हो गया (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– शौहर औरत को जितने रुपये खाने के लिए देता है वह अपने ऊपर तकलीफ़ उठा कर उन में से कुछ बचा लेती है और ख़ौफ़ है कि लाग़र हो जायेगी तो शौहर को हक़ है कि उसे तंगी करने से रोक दे न माने तो क़ाज़ी के यहाँ उस का दअ्वा कर के रुकवा सकता है कि उस की वजह से जमाल में फ़र्क़ आयेगा और यह शौहर का हक़ है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर बाहम रज़ा मन्दी से कोई मिक़दार मुअय्यन हुई या क़ाज़ी ने मुअय्यन कर दी और चन्द माह तक वह रक़म न दी तो औरत वुसूल कर सकती है और मुआफ़ करना चाहे तो कर सकती है बल्कि जो महीना आ गया उस का भी नफ़्क़ा मुआफ़ कर सकती है जब कि माह ब माह नफ़्क़ा देना ठहरा हो और सालाना मुक़र्रर हो तो उस सन और साले गुज़श्ता का मुआफ़ कर सकती है पहली सूरत में बाद वाले महीना का दूसरी में उस साल का जो अभी नहीं आया मुआफ़ नहीं कर सकती और अगर न आपस में कोई मिक़दार मुअय्यन हुई न क़ाज़ी ने मुअय्यन की तो ज़माना गुज़श्ता का नफ़्क़ा न तलब कर सकती है न मुआफ़ कर सकती है कि वह शौहर के ज़िम्मे वाजिब ही नहीं हाँ अगर उस शर्त पर ख़ुलअ् हुआ कि औरत इद्दत का नफ़्क़ा मुआफ़ कर दे तो यह मुआफ़ हो जायेगा (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– औरत को मसलन महीने भर का नफ़्क़ा दे दिया या उस ने फ़ुज़ूल ख़र्ची से महीना पूरा होने से पहले ख़र्च कर डाला या चोरी जाता रहा किसी और वजह से हलाक हो गया तो उस महीने का नफ़्क़ा शौहर पर वाजिब नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत के लिए अगर कोई ख़ादिम ममलूक हो यानी लोन्डी या गुलाम तो उस का नफ़्क़ा भी शौहर पर है बशर्ते कि शौहर तंगदस्त न हो और औरत आज़ाद हो और अगर औरत को चन्द ख़ादिमों की ज़रूरत हो कि औरत साहिबे औलाद है एक से काम नहीं चलता तो दो तीन जितने की ज़रूरत है उन का नफ़्क़ा शौहर के ज़िम्मे है (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– शौहर अगर नादारी के सबब नफ़्क़ा देने से आजिज़ है तो उस की वजह से तफ़रीक़ न की जाये यूँहीं अगर मालदार है मगर माल यहाँ मौजूद नहीं जब भी तफ़रीक़ न करे बल्कि अगर नफ़्क़ा मुक़र्रर हो चुका है तो क़ाज़ी हुक्म दे कि क़र्ज़ लेकर या कुछ काम कर के सर्फ़ करे और वह सब शौहर के ज़िम्मे है कि उसे देना होगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत ने क़ाज़ी के पास आकर बयान किया कि मेरा शौहर कहीं गया है और मुझे नफ़्क़ा के लिए कुछ देकर न गया तो अगर कुछ रुपये या ग़ल्ला छोड़ गया है और क़ाज़ी को मालूम है कि यह उस की औरत है तो क़ाज़ी हुक्म देगा कि उस में से ख़र्च करे मगर फ़ुज़ूल ख़र्च न करे मगर यह क़सम ले ले कि उस से नफ़्क़ा नहीं पाया है और कोई ऐसी बात भी नहीं हुई है जिस से नफ़्क़ा साक़ित हो जाता है और औरत से कोई ज़ामिन भी ले (ख़ानिया)

मसअला :– शौहर कहीं चला गया है और नफ़्क़ा नहीं दे गया मगर घर में असबाब वग़ैरा ऐसी चीज़ें हैं जो नफ़्क़ा की जिन्स से नहीं तो औरत उन चीज़ों को बेच कर खाने वग़ैरा में नहीं सर्फ़ कर सकती (आलमगीरी)

मसअला :– जिस मिक़दार पर रज़ा मन्दी हुई या क़ाज़ी ने मुक़र्रर की औरत कहती है कि यह नाकाफ़ी है तो मिक़दार बढ़ा दी जाये या शौहर कहता है कि यह ज़्यादा है उस से कम में काम चल जायेगा क्योंकि अब अरज़ानी है या मुक़र्रर ही ज़्यादा मिक़दार हुई और क़ाज़ी को भी मालूम हो गया कि यह रक़म ज़ाइद है तो कम कर दी जाये (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– चन्द महीने का नफ़्क़ा बाक़ी था और दोनों में से कोई मर गया तो नफ़्क़ा साक़ित हो गया हाँ अगर क़ाज़ी ने औरत को हुक्म दिया था कि क़र्ज़ लेकर सर्फ़ करे फिर कोई मरगया तो साक़ित न होगा तलाक़ से भी पेश्तर का नफ़्क़ा साक़ित हो जाता है मगर जब कि इसी लिए तलाक़ दी हो कि नफ़्क़ा साक़ित हो जाये तो साक़ित न होगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत को पेशगी (ADVANCE)नफ़्क़ा दे दिया था फिर उन में से किसी का इन्तिक़ाल हो गया या तलाक़ हो गई तो वह दिया हुआ वापस नहीं हो सकता यूँहीं अगर शौहर के बाप ने अपनी बहू को पेशगी नफ़्क़ा दे दिया तो मौत या तलाक़ के बाद वह भी वापस नहीं ले सकता (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मर्द ने औरत के पास कपड़े या रुपये भेजे औरत कहती है हदयतन भेजे और मर्द कहता है नफ़्क़ा में भेजे तो शौहर का क़ौल मोअ्तबर है हाँ अगर औरत गवाहों से साबित कर दे कि हदयतन भेजे या यह कि शौहर ने उस का इक़रार किया था और गवाहों ने उस के इक़रार की शहादत दी तो गवाही मक़बूल है (आलमगीरी)

मसअला :– गुलाम ने मौला की इजाज़त से निकाह किया है तो अगर गुलाम ख़ालिस है यानी मुदब्बर व मुकातिब न हो तो उसे बेच कर उस की औरत का नफ़्क़ा अदा करें फिर भी बाक़ी रह जाये तो यके बाद दीगरे बेचते रहें यहाँ तक कि नफ़्क़ा हो जाये बशर्ते कि ख़रीदार को मालूम हो कि नफ़्क़ा की वजह से बेचा जा रहा है और अगर ख़रीदते वक़्त उसे मालूम न था बाद को मालूम हुआ तो ख़रीदार को बैअ् रद करने का इख़्तियार है और अगर बैअ् को क़ाइम रखा तो साबित हुआ कि राज़ी है लिहाज़ा अब उसे कोई उज़्र नहीं और अगर मौला बेचने से इन्कार करता है तो मौला के सामने क़ाज़ी बैअ् करदेगा मगर नफ़्क़ा में बेचने के लिए यह शर्त है कि नफ़्क़ा इतना उस के ज़िम्मे बाक़ी हो कि अदा करने से आजिज़ हो और यह भी हो सकता है कि मौला अपने पास से नफ़्क़ा देकर अपने गुलाम को छुड़ा ले और अगर वह गुलाम मुदब्बर या मुकातिब हो जो बदले किताबत अदा करने से आजिज़ नहीं तो बेचा न जाये बल्कि कमाकर नफ़्क़ा की मिक़दार पूरी करे और अगर जिस औरत से निकाह किया है वह उस के मौला की कनीज़ है तो उस पर नफ़्क़ा वाजिब ही नहीं (ख़ानिया दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– बग़ैर इजाज़ते मौला गुलाम ने निकाह किया और अभी मौला ने रद न किया था कि आज़ाद कर दिया तो निकाह सहीह हो गया और आज़ाद होने के बाद से नफ़्क़ा वाजिब होगा(आलमगीरी)

मसअला :– लोन्डी ने मौला की इजाज़त से निकाह किया और दिन भर मौला की ख़िदमत करती है और रात में अपने शौहर के पास रहती है तो दिन का नफ़्क़ा मौला पर है और रात का शौहर पर (आलमगीरी)

मसअला :– गुलाम या मुदब्बर या मुकातिब ने निकाह किया और औलाद हुई तो औलाद का नफ़्क़ा उन पर नहीं बल्कि ज़ौजा अगर मुकातिबा है तो उस पर है और मुदब्बिरा या उम्मे वलद है तो उन के मौला पर और आज़ाद है तो ख़ुद औरत पर और उस के पास भी कुछ न हो तो बच्चे का जो सब से ज़्यादा क़रीबी रिश्तादार हो उस पर है और अगर शौहर आज़ाद है और औरत कनीज़ जब

भी यही सब अहकाम हैं जो मज़कूर हुए (आलमगीरी)
मसअला :– गुलाम ने मौला की इजाज़त से निकाह किया था और औरत का नफ़्का वाजिब होने के बाद मर गया या मार डाला गया तो नफ़्का साकित हो गया (दुर्रे मुख़्तार)
मसअला :– नफ़्का का तीसरा जुज़ सुकना है यानी रहने का मकान शौहर जो मकान औरत को रहने के लिए दे वह ख़ाली हो यानी शौहर के मुतअल्लिक़ीन वहाँ न रहे हाँ अगर शौहर का इतना छोटा बच्चा हो कि जिमाअ् से आगाह नहीं तो वह मानेअ् नहीं यूँहीं शौहर की कनीज़ या उम्मे वलद का रहना भी कुछ मुज़िर नहीं और अगर उस मकान में शौहर के मुतअल्लिक़ीन रहते हों और औरत ने उसी को इख़्तियार किया कि सब के साथ रहे तो शौहर के मुतअल्लिक़ीने से ख़ाली होने की शर्त नहीं और औरत का बच्चा अगर्चे बहुत छोटा हो अगर शौहर रोकना चाहे तो रोक सकता है औरत को उस का इख़्तियार नहीं कि ख़्वाह मख़्वाह उसे वहाँ रखे (आम्मए कुतुब)
मसअला :– औरत अगर तन्हा मकान चाहती है यानी अपनी सौत या शौहर के मुतअल्लिक़ीन के साथ नहीं रहना चाहती तो अगर मकान में कोई ऐसा दालान उस को दे दे जिस में दरवाज़ा हो और बन्द कर सकती हो तो वह दे सकता है दूसरा मकान तलब करने का उस को इख़्तियार नहीं बशर्ते कि शौहर के रिश्ता दार औरत को तकलीफ़ न पहुँचाते हों रहा यह अम्र कि पाख़ाना ग़ुस्ल ख़ाना बावर्ची ख़ाना भी अलाहिदा होना चाहिए उस में तफ़सील है अगर शौहर मालदार हो तो ऐसा मकान दे जिस में यह ज़रूरियात हों और ग़रीबों में ख़ाली एक कमरा दे देना काफ़ी है अगर्चे ग़ुस्ल ख़ाना वग़ैरा मुश्तरक(शिरकत में) हो (आलमगीरी रद्दुल मुहतार)
मसअला :– यह बात ज़रूरी है कि औरत को ऐसे मकान में रखे जिस के पड़ोसी सालेहीन हों कि (नेक)फ़ासिक़ों में ख़ुद भी रहना अच्छा नहीं न कि ऐसे मक़ाम पर औरत का होना और अगर मकान बहुत बड़ा हो कि औरत वहाँ तन्हा रहने से घबराती और डरती है तो वहाँ कोई ऐसी नेक औरत रखे जिस से दिल बस्तगी हो या औरत को कोई दूसरा मकान दे जो इतना बड़ा न हो और उस के हमसाया (पड़ोसी) नेक लोग हों (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)
मसअला :– औरत के वालिदैन हर हफ़्ता में एक बार अपनी लड़की के यहाँ आ सकते हैं शौहर मनअ् नहीं कर सकता हाँ अगर रात में वहाँ रहना चाहते हैं तो शौहर को मनअ् करने का इख़्तियार है और वालिदैन के अलावा और महारिम साल भर में एक बार आ सकते हैं यूहीं औरत अपने वालिदैन के यहाँ हर हफ़्ता में एक बार और दीगर महारिम के यहाँ साल में एक बार जा सकती है मगर रात में बग़ैर इजाज़ते शौहर वहाँ नहीं रह सकती दिन ही दिन में वापस आये और वालिदैन या महारिम अगर फ़क़त देखना चाहें तो उस से किसी वक़्त मनअ् नहीं कर सकता और ग़ैरों के यहाँ जाने या उन की इयादत करने या शादी वग़ैरा तक़रीबों की शिरकत से मनअ् करे बग़ैर इजाज़त जायेगी तो गुनाहगार होगी और इजाज़त से गई तो दोनों गुनहगार हुए (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी)
मसअला :– औरत अगर कोई ऐसा काम करती है जिस से शौहर का हक़ फ़ौत होता है या उस में नुक़सान आता है या उस काम के लिए बाहर जाना पड़ता है तो शौहर को मनअ् कर देने का इख़्तियार है (दुर्रे मुख़्तार)बल्कि ज़माने के हालात को देखते हुए ऐसे काम से तो मनअ् ही करना चाहिए जिस के लिए बाहर जाना पड़े।
मसअला :– जिस काम में शौहर की हक़ तल्फ़ी न होती हो न नुक़सान हो अगर औरत घर में वह

काम कर लिया करे जैसे कपड़ा सीना या अगले ज़माना में चर्ख़ा कातने का रिवाज था तो ऐसे काम से मनअ् करने की कुछ हाजत नहीं ख़ुसूसन जब कि शौहर घर न हो कि उन कामों से जी बहलता रहेगा और बेकार बैठेगी तो वसवसे से और ख़तरे पैदा होते रहेंगे और ला यानी बातों में मशग़ूल होगी (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– नाबालिग़ औलाद का नफ़्क़ा बाप पर वाजिब है जब कि औलाद फ़क़ीर हो यानी ख़ुद उस की मिल्क में माल न हो और आज़ाद हो और बालिग़ बेटा अगर अपाहिज या मजनून या नाबीना हो कमाने से आजिज़ हो और उस के पास माल न हो तो उस का नफ़्क़ा भी बाप पर है और लड़की जब कि माल न रखती हो तो उस का नफ़्क़ा बहर हाल बाप पर है अगर्चे उस के अअ्ज़ा सलामत हों और अगर नाबालिग़ की मिल्क में माल है मगर यहाँ माल मौजूद नहीं तो बाप को हुक्म दिया जायेगा। कि अपने पास से ख़र्च करे जब माल आये तो जितना ख़र्च किया है उस में से ले ले और अगर बतौर ख़ुद ख़र्च किया है और चाहता है कि माल आने के बाद उस में से ले ले तो लोगों को गवाह बनाये कि जब माल आयेगा मैं लेलूँगा और गवाह न किए तो दियानतन ले सकता है क़ज़ाअ्न नहीं (जौहरा)

मसअ्ला :– नाबालिग़ का बाप तंग दस्त है और माँ मालदार जब भी नफ़्क़ा बाप ही पर है मगर माँ को हुक्म दिया जायेगां कि अपने पास से ख़र्च करे और जब शौहर के पास हो तो वुसूल कर ले (जौहरा)

मसअ्ला :– अगर बाप मुफ़्लिस है तो कमाये और बच्चों को खिलाये और कमाने से भी आजिज़ है मसलन अपाहिज है तो दादा के ज़िम्मे नफ़्क़ा है कि ख़ुद बाप का नफ़्क़ा भी उस सूरत में उसी के ज़िम्मे है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– तालिबे इल्म कि इल्मे दीन पढ़ता हो और नेक चलन हो उस का नफ़्क़ा भी उस के वालिद के ज़िम्मे है वह तलबा मुराद नहीं जो फ़ुज़ूलियात व लग़वियात फ़लासफ़ा में मुश्तग़िल हों अगर यह बातें हों तो नफ़्क़ा बाप पर नहीं (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– वह तलबा भी उस से मुराद नहीं जो बज़ाहिर इल्मे दीन पढ़ते और हक़ीक़तन दीन ढाना चाहते हैं मसलन वहाबियों से पढ़ते हैं उन के पास उठते बैठते हैं कि ऐसों से उ़मूमन यही मुशाहिदा हो रहा है कि बद बातिनी व ख़बासत और अल्लाह व रसूल की जानिब में गुस्ताख़ी करने में अपने असातिज़ा से भी सबक़त ले गये ऐसों का नफ़्क़ा दर किनार उन को पास भी न आने देना चाहिए ऐसी तअ्लीम से तो जाहिल रहना अच्छा था कि उस ने तो मज़हब व दीन सब को बर्बाद किया और न फ़क़त अपना बल्कि वह तुम को भी ले डूबेगा ।

बे अदब तन्हा न ख़ुद रा दाश्त बद — बल्कि आतिश दरहमा आफ़ाक़ ज़द

मसअ्ला :– बच्चे की मिल्क में कोई जायदाद मनक़ूला या ग़ैर मनक़ूला हो और नफ़्क़ा की हाजत हो तो बेच कर ख़र्च की जाये अगर्चे रफ़्ता रफ़्ता कर के सब ख़र्च हो जाये (आलमगीरी)

मसअ्ला :– लड़की जब जवान हो गई और उस की शादी कर दी तो अब शौहर पर नफ़्क़ा है बाप सुबुकदोश हो गया (आलमगीरी)

मसअ्ला :– बच्चा जब तक माँ की परवरिश में है अख़राजात बच्चे की माँ के हवाले करे या ज़रूरत की चीज़ें मुहय्या कर दे और अगर कोई मिक़दार मुअय्यन कर ली गई तो उस में भी हर्ज नहीं और

जो मिक़दार मुअय्यन हुई अगर वह इतनी ज़्यादा है कि अन्दाज़ा से बाहर है तो कम कर दी जाये और अगर अन्दाज़ा से बाहर नहीं तो मुआफ़ है और कम है तो कमी पूरी की जाये (आलमगीरी)

मसअला :– किसी और की कनीज़ से निकाह किया और बच्चा पैदा हुआ तो यह उसी की मिल्क है जिस की मिल्क में उस की माँ है और उस का नफ़्क़ा बाप पर नहीं बल्कि मौला पर है उसका बाप आज़ाद हो या ग़ुलाम बाप पर नहीं अगर्चे मालदार हो और अगर ग़ुलाम या मुदब्बिर या मुकातिब ने मौला की इजाज़त से निकाह किया और औलाद पैदा हुई तो उन पर नहीं बल्कि अगर माँ मुदब्बिरा या उम्मे वलद या कनीज़ है तो मौला पर है और आज़ाद या मुकातिबा है तो माँ पर और अगर माँ के पास माल न हो तो सब रिश्तादारों में जो क़रीब तर है उस पर है (आलमगीरी)

मसअला :– माँ ने अगर बच्चे का नफ़्क़ा उस के बाप से लिया और चोरी गया या और किसी तरीक़ा से हलाक हो गया तो फिर दोबारा नफ़्क़ा लेगी और बच रहा तो वापस करेगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– बाप मर गया उस ने नाबालिग़ बच्चे और अमवाल छोड़े तो बच्चों का नफ़्क़ा उन के हिस्सों में से दिया जायेगा यूँहीं हर वारिस का नफ़्क़ा उस के हिस्सा में से दिया जायेगा फिर अगर मय्यत ने किसी को वसी किया है तो यह काम वसी का है कि उन के हिस्सों से नफ़्क़ा दे और वसी किसी को न किया हो तो क़ाज़ी का काम है कि नाबालिग़ों का नफ़्क़ा उन के हिस्सों से दे या क़ाज़ी किसी को वसी बना दे कि वह ख़र्च करे और अगर वहाँ क़ाज़ी न हो और मय्यत के बालिग़ लड़कों ने नाबालिग़ों पर उन के हिस्सों से ख़र्च किया तो क़ज़ाअन उन को तावान देना होगा और दियानतन नहीं यूँहीं अगर सफ़र में दो शख़्स हैं उन में से एक बेहोश हो गया दूसरे ने उस का माल उस पर सर्फ़ किया या एक मर गया दूसरे ने उस के माल से तजहीज़ व तकफ़ीन की तो दियानतन तावान लाज़िम नहीं (आलमगीरी)

मसअला :– बच्चे को दूध पिलाना माँ पर उस वक़्त वाजिब है कि कोई दूसरी औरत दूध पिलाने वाली न मिले या बच्चा दूसरी का दूध न ले या उस का बाप तंगदस्त है कि उजरत नहीं दे सकता और बच्चे की मिल्क में भी माल न हो उन सूरतों में दूध पिलाने पर मजबूर की जायेगी और यह सूरतें न हों तो दियानतन माँ के ज़िम्मे दूध पिलाना है मजबूर नहीं की जा सकती (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– बच्चा को दाई ने दूध पिलाया कुछ दिनों के बाद दूध पिलाने से इन्कार करती है और बच्चा दूसरी औरत का दूध नहीं लेता या कोई और पिलाने वाली नहीं मिलती या इब्तिदा ही में कोई औरत उस को दूध पिलाने वाली नहीं तो यही मुतअय्यन है दूध पिलाने पर मजबूर की जायेगी (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– बच्चा चूँकि माँ की परवरिश में होता है लिहाज़ा जो दाई मुक़र्रर की जाये वह माँ के पास दूध पिलाया करे मगर नौकर रखते वक़्त यह शर्त न कर ली गई हो कि तुझे यहाँ रह कर दूध पिलाना होगा तो दाई पर यह वाजिब न होगा कि वहाँ रहे बल्कि दूध पिला कर चली जा सकती है या कह सकती हे कि मैं वहाँ नहीं पिलाऊँगी यहाँ पिला दूँगी या घर लेजाकर पिलाऊँगी (ख़ानिया)

मसअला :– अगर लोन्डी से बच्चा पैदा हुआ तो वह दूध पिलाने से इन्कार नहीं कर सकती (आलमगीरी)

मसअला :– बाप को इख़्तियार है कि दाई से दूध पिलवाये अगर्चे माँ पिलाना चाहती हो (आलमगीरी)

मसअला :– बच्चा की माँ निकाह में हो या तलाक़े रजई की इद्दत में अगर दूध पिलाये तो उस पर

उजरत नहीं ले सकती और तलाक़ बाइन की इद्दत में ले सकती है और अगर दूसरी औरत के बच्चा को जो उसी शौहर का है दूध पिलाये तो मुतलक़न उजरत ले सकती है अगर्चे निकाह में हो(दुर्रे मुख़्तार वगैरा)

मसअला :– इद्दत गुज़रने के बाद मुतलक़न उजरत ले सकती है और अगर शौहर ने दूसरी औरत को मुकर्रर किया और माँ मुफ़्त पिलाने को कहती है या उतनी ही उजरत माँगती है जितनी दूसरी औरत माँगती है तो माँ को ज़्यादा हक़ है और अगर माँ उजरत माँगती है और दूसरी औरत मुफ़्त पिलाने को कहती है या माँ से कम उजरत माँगती है तो वह दूसरी ज़्यादा मुस्तहक़ है(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– इद्दत के बाद औरत ने उजरत पर अपने बच्चे को दूध पिलाया और उन दिनों का नफ़्क़ा नहीं लिया था कि शौहर का यानी बच्चा के बाप का इन्तिक़ाल हो गया तो यह नफ़्क़ा मौत से साक़ित न होगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– बाप, माँ ,दादा, दादी, नाना, नानी, अगर तंगदस्त हों तो उन का नफ़्क़ा वाजिब है अगर्चे कमाने पर क़ादिर हों जब कि यह मालदार हो यानी मालिके निसाब हो अगर्चे वह निसाब नामी न हो और अगर यह भी मोहताज है तो बाप का नफ़्क़ा उस पर वाजिब नहीं अल्बत्ता बाप अपाहिज या मफ़लूज है कि, कमा नहीं सकता तो बेटे के साथ नफ्क़ा में शरीक है अगर्चे बेटा फ़क़ीर हो और माँ का नफ़्क़ा भी बेटे पर है अगर्चे अपाहिज न हो अगर्चे बेटा फ़क़ीर हो यानी जब कि बेवा हो और अगर निकाह कर लिया है तो उस का नफ़्क़ा शौहर पर है और अगर उस के बाप के निकाह में है और बाप और माँ दोनों मोहताज हों तो दोनों का नफ़्क़ा बेटे पर है और बाप मोहताज न हो तो बाप पर है और बाप मोहताज है और माँ मालदार तो माँ का नफ़्क़ा अब भी बेटे पर नहीं बल्कि अपने पास से ख़र्च करे और शौहर से वुसूल कर सकती है (जौहरा, दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– बाप वग़ैरा का नफ़्क़ा जैसे बेटे पर वाजिब है यूँहीं बेटी पर भी है अगर बेटा बेटी दोनों हों तो दोनों पर बराबर वाजिब है और अगर दो बेटे हों एक फ़क़त मालिके निसाब है और दूसरा बहुत मालदार है तो बाप का नफ़्क़ा दोनों पर बराबर बराबर है (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– बाप और औलाद के नफ़्क़ा में क़राबत व जुज़ईयत का एअ्तिबार है वुरासत का नहीं मसलन बेटा है **और पोता** तो नफ़्क़ा बेटे पर वाजिब है पोते पर नहीं **यूँहीं बेटी** है **और पोता** तो बेटी पर है पोते पर नहीं **और पोता** है और नवासी तो दोनों पर बराबर **और बेटी है और बहन** या भाई तो बेटी पर है **और नवासा** नवासी हैं और भाई तो उन पर है उस पर नहीं और बाप या माँ है और बेटा तो बेटे पर है उन पर नहीं और दादा है और पोता तो एक सुलुस (तिहाई) दादा पर और बाक़ी पोते पर **और** बाप है और नवासी नवासा तो बाप पर है उन पर नहीं (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– बाप अगर तंगदस्त हो और उस के छोटे छोटे बच्चे हों और यह बच्चे मोहताज हों और बड़ा बेटा मालदार है तो बाप और उस की सब औलाद का नफ़्क़ा उस पर वाजिब है (आलमगीरी)

मसअला :– बेटा अगर माँ बाप दोनों का नफ़्क़ा नहीं दे सकता मगर एक का दे सकता है तो माँ ज़्यादा मुस्तहक़ है और अगर बाप मोहताज है और छोटा बच्चा भी है और दोनों का नफ़्क़ा न दे सकता हो मगर एक का दे सकता है तो बेटा ज़्यादा हक़दार है **और अगर** वालिदैन में किसी का पूरा नफ़्क़ा न दे सकता हो तो दोनों को अपने साथ खिलाये जो खुद खाता हो उसी में से उन्हें भी खिलाये **और अगर** बाप को निकाह करने की ज़रूरत है और बेटा मालदार है तो बेटे पर बाप की शादी कर देना वाजिब है या उस के लिए कोई कनीज़ ख़रीद दे और अगर बाप की दो बीवियाँ हैं तो बेटे पर फ़क़त एक का नफ़्क़ा वाजिब है मगर बाप को दे दे कि वह दोनों को तक़सीम कर के दे (जौहरा)

मसअ्ला :– बाप बेटे दोनों नादार हैं मगर बेटा कमाने वाला है तो बेटे पर दियानतन हुक्म किया जायेगा कि बाप को भी साथ ले ले यह जब कि बेटा तन्हा हो और अगर बाल बच्चों वाला है तो मजबूर किया जायेगा कि बाप को भी हमराह ले ले (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जो रिश्तेदार मुहारिम हों उन का भी नफ़्क़ा वाजिब है जब कि मोहताज हों और नाबालिग़ या औरत हो और रिश्तेदार बालिग़ मर्द हो तो यह भी शर्त है कि कमाने से आ़जिज़ हो मसलन दीवाना है या उस पर फ़ालिज गिरा है या अपाहिज है या अंधा और अगर आ़जिज़ न हो तो वाजिब नहीं अगर्चे मोहताज हो और औरत में बालिग़ा नबालिग़ा की क़ैद नहीं और उन के नफ़्क़ात बक़द्र मीरास वाजिब हैं यानी उस के तरका से जितनी मिक़दार का वारिस होगा उसी के मुवाफ़िक़ इस पर नफ़्क़ा वाजिब मसलन कोई शख़्स मोहताज है और उस की तीन बहनें हैं एक हक़ीक़ी एक सौतेली एक अख़याफ़ी तो नफ़्क़ा के पाँच हिस्से तसव्वुर करें तीन हक़ीक़ी बहन पर और एक एक उन दोनों पर और अगर उसी तरह तीन भाई हैं तो छः हिस्से तसव्वुर करें एक अख़याफ़ी भाई पर और बाक़ी हक़ीक़ी पर सौतेले पर कुछ नहीं कि वह वारिस नहीं और अगर माँ और दादा हैं तो एक हिस्सा माँ पर और दो दादा पर और अगर माँ और भाई या माँ और चचा हैं जब भी यहीं सूरत है और अगर उनके साथ बेटा भी है मगर नाबालिग़ नादार है या बालिग़ है मगर आ़जिज़ तो उसका होना न होना दोनों बराबर कि जब उस पर नफ़्क़ा वाजिब नहीं तो कलअ़दम है और अगर हक़ीक़ी चचा और हक़ीक़ी फूफी या हक़ीक़ी मामूँ है तो नफ़्क़ा चचा पर है फूफी या मामूँ पर नहीं और वुरासत से मुराद महज़ अहले वुरासत है कि हक़ीक़तन वुरासत तो मरने के बाद होगी न अब (जौहरा आलमगरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– यह तो मालूम हो चुका है कि रिश्ता दार औरत में नाबालिग़ा की क़ैद नहीं बल्कि अगर कमाने पर क़ादिर है जब भी उस का नफ़्क़ा वाजिब है हाँ अगर कोई काम करती है जिस से उस का ख़र्च चलता है तो अब उस का नफ़्क़ा फ़र्ज़ नहीं यूँहीं अन्धा वग़ैरा भी कमाता हो तो अब किसी और पर नफ़अ् फ़र्ज़ नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– तालिबे इल्मे दीन अगर्चे तन्दुरुस्त है काम करने पर क़ादिर है मगर अपने को तलबे इल्मे दीन में मशगूल रखता है तो उस का नफ़्क़ा भी रिश्ते वालों पर फ़र्ज़ है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़रीबी रिश्तादार ग़ाइब है और दूर वाला मौजूद है तो नफ़्क़ा उसी दूर के रिश्ते दार पर है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औरत का शौहर तंगदस्त है और भाई मालदार है तो भाई को ख़र्च करने का हुक्म दिया जायेगा फिर जब शौहर के पास माल हो जाये तो वापस ले सकता है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर रिश्ता दार महरम न हो जैसे चचा ज़ाद भाई या महरम हो मगर रिश्ता दार न हो जैसे रज़ाई भाई, बहन या रिश्ता दार महरम हो मगर हुरमत क़राबत की न हो जैसे चचा ज़ाद भाई और वह रज़ाई भाई भी है कि हुरमत रज़ाअ़त की वजह से है न कि रिश्ता की वजह से तो उन सूरतों में नफ़्क़ा वाजिब नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– महारिम का नफ़्क़ा दे दिया और उस के पास से ज़ाएअ् (बर्बाद) हो गया तो फिर देना होगा और कुछ बच रहा तो उतना कम कर दिया जाये (आलमगीरी)

मसअ्ला :– बाप मोहताज है नफ़्क़ा की ज़रूरत है और बेटा जवान मालदार है जो मौजूद नहीं तो

बाप को इख़्तियार है कि उस के असबाब को बेचकर अपने नफ़्क़ा में सर्फ़ करे मगर जाइदादे ग़ैर मन्कूला के बेचने की इजाज़त नहीं और माँ और रिश्ते दारों को किसी चीज़ के बेचने की इजाज़त नहीं और बेटा मौजूद है तो बाप भी किसी चीज़ को नहीं बेच सकता यूँही अगर बेटा मजनून हो गया उस के और उस के बाल बच्चों के ख़र्च के लिए उस की चीज़ें बाप फ़ारोख़्त कर सकता है अगर्चे जाइदाद ग़ैर मन्कूला हो। और अगर बाप का बेटे पर दैन हो और बेटा ग़ाइब हो तो दैन वुसूल करने के लिए उस के सामान को बेचने की इजाज़त नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– किसी के पास अमानत रखी है और मालिक ग़ाइब है उस ने बेच कर उस के बाल बच्चों या माँ बाप पर सर्फ़ कर दिया अगर मालिक की इजाज़त से या क़ाज़ी शरअ् के हुक्म से नहीं तो दियानतन तावान देना पड़ेगा और अमीन ने जिन पर ख़र्च किया है उन से वापस नहीं ले सकता और अगर वहाँ क़ाज़ी नहीं या है मगर शरई नहीं या मालिक की इजाज़त से सर्फ़ किया तो तावान नहीं **यूँहीं अगर** वह मालिक ग़ाइब मरगया और अमीन ने जिस पर ख़र्च किया है वही उस का वारिस है तो अब वारिस तावान नहीं ले सकता कि उस ने अपना हक़ पा लिया यूँहीं अगर दो शख़्स सफ़र में हों एक मर गया दूसरे ने उस के माल से तजहीज़ व तकफ़ीन की या मस्जिद के मुतअ़ल्लिक़ जाइदाद वक़्फ़ है और कोई मुतवल्ली नहीं कि ख़र्च करे अहले मुहल्ला ने वक़्फ़ की आमदनी मस्जिद में सर्फ़ की या मय्यत के ज़िम्मे दैन था वसी(जिस को वसियत की)को मालूम हुआ उस ने अदा कर दिया या माल अमानत था और मालिक मर गया और मालिक पर दैन था अमीन ने उस अमानत से अदा कर दिया या कर्ज़ ख़्वाह मर गया और उस पर दैन था कर्ज़ दार ने अदा कर दिया तो इन सब सूरतों में दियानतन तावान नहीं (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– कोई शख़्स ग़ाइब है और उस के वालिदैन या औलाद या ज़ौजा के पास उसके अशया अज़ क़िस्में नफ़्क़ा (नफ़क़े की किस्म की चीज़ें) मौजूद हैं उन्होंने ख़र्च कर लीं तो तावान नहीं और अगर वह शख़्स मौजूद है और अपने वालिदैन हाजत मन्द को नहीं देता और वहाँ कोई क़ाज़ी भी नहीं जिस के पास दअ्वा करें तो उन्हें इख़्तियार है उस का माल छुपा कर ले सकते हैं यूँहीं अगर वह देता है मगर बक़द्रे किफ़ायत नहीं देता जब भी बक़द्रे किफ़ायत ख़ुफ़यतन उस का माल ले सकते हैं और किफ़ायत से ज़्यादा लेना या बग़ैर हाजत लेना जाइज़ नहीं (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला :– बाप के पास रहने का मकान और सवारी का जानवर है तो उसे यह हुक्म नहीं दिया जायेगा कि उन चीज़ों को बेचकर नफ़्क़ा में सर्फ़ करे बल्कि उस का नफ़्क़ा उस के बेटे पर फ़र्ज़ है हाँ अगर मकान हाजत से ज़ाइद है कि थोड़े हिस्से में रहता है तो जितना हाजत से ज़ाइद है उसे बेचकर नफ़्क़ा में सर्फ़ करे और जब वही हिस्सा बाक़ी रह गया जिस में रहता है तो अब नफ़्क़ा उस के बेटे पर है यूँहीं अगर उस के पास अअ्ला दरजा की सवारी है तो यह हुक्म दिया जायेगा कि बेच कर कम दर्जा की सवारी ख़रीदे और जो बचे नफ़्क़ा में सर्फ़ करे फिर उस के बाद दूसरे पर नफ़्क़ा वाजिब होगा यही अहकाम औलाद व दीगर महारिम के भी हैं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– ज़ौजा के सिवा किसी और के नफ़्क़ा का क़ाज़ी ने हुक्म दिया और एक महीना या ज़्यादा ज़माना गुज़रा तो उस मुद्दत का नफ़्क़ा साक़ित हो गया और एक महीना से कम ज़माना गुज़रा है तो वुसूल कर सकते हैं और ज़ौजा बहर हाल क़ाज़ी के हुक्म के बाद वुसूल कर सकती है

और अगर नफ़्का न देने की सूरत में उन लोगों ने भीक माँग कर गुज़र की जब भी साकित हो जायेगा कि जो कुछ माँग लाये वह उन की मिल्क हो गया तो अब जब तक वह ख़र्च न हो ले हाजत न रही (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– ग़ैर ज़ौजा जिस के नफ़्क़ा का क़ाज़ी ने हुक्म दिया था उस ने क़ाज़ी के हुक्म से क़र्ज़ ले कर काम चलाया तो नफ़्क़ा साकित न होगा यहाँ तक कि अगर क़र्ज़ लेने के बाद उस शख़्स का इन्तिक़ाल हो गया जिस पर नफ़्क़ा फ़र्ज़ हुआ तो वह क़र्ज़ तरका(छोड़े हुये माल) से अदा किया जायेगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– लौन्डी गुलाम का नफ़्क़ा उन के आक़ा पर है वह मुदब्बिर हों या ख़ालिस गुलाम छोटे हों या बड़े अपाहिज हों या तन्दुरुस्त अन्धे हों या अंखियारे और अगर आक़ा नफ़्क़ा देने से इन्कार करे तो मज़दूरी वग़ैरा कर के अपने नफ़्क़ा में सर्फ़ करें और कमी पड़े तो मौला से लें बच रहे तो मौला को दें और कमा भी न सकते हों तो ग़ैर मुदब्बिर व उम्मेवलद में मौला को हुक्म दिया जायेगा कि उन का नफ़्क़ा दे या बेच डाले और मुदब्बिर व उम्मे वलद में नफ़्क़ा पर मजबूर किया जायेगा और अगर लोन्डी ख़ूबसूरत है कि मज़दूरी को जायेगी तो अन्देशा–ए–फ़ितना है तो मौला को हुक्म दिया जायेगा कि नफ़्क़ा दे या बेच डाले (आलमगीरी)

मसअला :– गुलाम को उस का आक़ा ख़र्च नहीं देता और कमाने पर भी क़ादिर नहीं या मौला कमाने की इजाज़त नहीं देता तौ मौला के माल से बक़द्र किफ़ायत बिला इजाज़त ले सकता है वरना बिला इजाज़त लेना जाइज़ नहीं और मौला खाने को देता है मगर बक़द्रे किफ़ायत नहीं देता तो बिला इजाज़त मौला का माल नहीं ले सकता मुमकिन हो तो मज़दूरी कर के वह कमी पूरी कर ले (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– लौन्डी गुलाम का नफ़्क़ा रोटी सालन वग़ैरा और लिबास उस शहर की आम ख़ुराक व पोशाक के मुवाफ़िक़ होना चाहिए और लोन्डी को सिर्फ़ इतना ही कपड़ा देना जो सतरे औ़रत के लाइक़ है जाइज़ नहीं **और अगर** मौला अच्छे खाने खाता है अच्छे लिबास पहनता है तो यह वाजिब नहीं कि गुलाम को भी वैसा ही खिलाये पहनाये मगर मुस्तहब है कि वैसा ही दे **और अगर** मौला बुख़्ल या रियाज़त के सबब वहाँ की आ़दत से कम दर्जा का खाता पहनता है तो यह ज़रुर है कि गुलाम को वहाँ के आ़म चलन के मुवाफ़िक़ दे और अगर गुलाम ने खाना पकाया है तो मौला को चाहिए कि उसे अपने साथ बिठा कर खिलाये और गुलाम अदब की वजह से इन्कार करता है तो उस में से उसे कुछ देदे (आलमगीरी)

मसअला :– चन्द गुलाम हों तो सब को यकसाँ खाना कपड़ा दे लौन्डी का भी यही हुक्म है और जिस लौन्डी से वती करता है उस का लिबास औरों से अच्छा हो (आलमगीरी)

मसअला :– गुलाम के वुज़ु गुस्ल वग़ैरा के लिए पानी ख़रीदने की ज़रूरत हो तो मौला पर ख़रीदना वाजिब है (जौहरा)

मसअला :– जिस गुलाम के कुछ हिस्सा को आज़ाद कर दिया है उस का और मुकातिब का नफ़्क़ा मौला के ज़िम्मे नहीं (आलमगीरी)

मसअला :– जिस गुलाम क़ो बेच डाला है उस का नफ़्क़ा बाएअ़ (बेचने वाला) पर है जब तक बाएअ़ के क़ब्ज़े में है और अगर बैअ़ में किसी जानिब ख़ियार हो तो नफ़्क़ा उस के ज़िम्मे है जिस

की मिल्क बिलआख़िर क़रार पाये और किसी के पास ग़ुलाम को अमानत या रहन रखा तो मालिक पर है और आरियतन दिया तो खिलाना आरियत लेने वाले पर है और कपड़ा मालिक के ज़िम्मे और अगर अमीन या मुरतहिन ने क़ाज़ी से इजाज़त चाही कि जो कुछ ख़र्च हो वह ग़ुलाम के ज़िम्मे डाला जाये तो क़ाज़ी उस का हुक्म न दे बल्कि यह कहे कि ग़ुलाम मज़दूरी करे और जो कमाये उस के नफ़्क़ा में सर्फ़ किया जाये या क़ाज़ी ग़ुलाम को बेच डाले और समन (क़ीमत) मौला के लिए महफ़ूज़ रखे और अगर क़ाज़ी के नज़्दीक यही मस्लहत है कि नफ़्क़ा उस पर डाला जाये तो यह हुक्म भी दे सकता यही अहकाम उस वक़्त भी हैं कि भागे हुए ग़ुलाम को कोई पकड़ लाया और क़ाज़ी से नफ़्क़ा के बारे में इजाज़त चाही या दो शरीक थे एक हाज़िर है एक ग़ाइब और हाज़िर ने इजाज़त माँगी (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– किसी ने ग़ुलाम ग़सब कर लिया तो नफ़्क़ा ग़ासिब पर है जब तक वापस न करे और अगर ग़ासिब ने क़ाज़ी से नफ़्क़ा या बैअ् की इजाज़त माँगी तो इजाज़त न दे हाँ अगर यह अन्देशा हो कि ग़ुलाम को ज़ाइअ् कर देगा तो क़ाज़ी बेच डाले और समन महफ़ूज़ रखे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– ग़ुलामे मुश्तरक (शिरकत का ग़ुलाम) का नफ़्क़ा हर शरीक पर बक़द्र हिस्सा लाज़िम है और अगर एक शरीक नफ़्क़ा देने से इन्कार करे तो बहुक्मे क़ाज़ी जो उस की तरफ़ से ख़र्च करेगा उस से वुसूल कर सकता है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया तो अब मौला पर नफ़्क़ा वाजिब नहीं अगर्चे वह कमाने के लाइक़ न हो मसलन बहुत छोटा बच्चा या बहुत बुढ़िया या अपाहिज या मरीज़ हो बल्कि उस का नफ़्क़ा बैतुलमाल से दिया जायेगा अगर कोई ऐसा न हो जिस पर नफ़्क़ा वाजिब हो(आलमगीरी)

मसअ्ला :– जानवर पाले और उन्हें चारा नहीं देता तो दियानतन हुक्म दिया जायेगा कि चारा वग़ैरा दे या बेच डाले और अगर मुश्तरक है और एक शरीक उसे चारा वग़ैरा देने से इन्कार करता है तो क़ज़ाअन भी हुक्म दिया जायेगा कि या चारा दे या बेच डाले (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर जानवर को चारा कम देता है और पूरा दूध दुह लेना मुज़िर (हानिकारक)हो तो पूरा दूध दोहना मकरूह है यूँहीं बिल्कुल न दूहे यह भी मकरूह है और दोहने में यह भी ख़्याल रखे कि बच्चा के लिए भी छोड़ना चाहिए और नाख़ून बड़े हों तो तरशवा दे कि उसे तकलीफ़ न हो(आलमगीरी)

मसअ्ला :– जानवर पर बोझ लादने और सवारी लेने में यह ख़्याल करना चाहिए कि उस की ताक़त से ज़्यादा न हो (जौहरा) बाग़ और ज़राअत व मकान में अगर ख़र्च करने की ज़रूरत हो तो ख़र्च करे और ख़र्च न कर के ज़ाइअ् न करे कि माल ज़ाइअ् करना ममनूअ् है (दुर्रे मुख़्तार) वल्लाहु तआला अअ्लमु

(रबीउ़ल आख़िर की बाईसवीं शब की रात सन् 1338 हिजरी को पूरा हुआ) (क़ादरी)

मुतर्जिम

मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

सितम्बर सन् 2010 ई.

मोबाइल न. 09219132423

बहारे शरीअ़त

नवाँ हिस्सा

मुसन्निफ़
सदरुश्शरीआ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा
मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर
क़ादरी दारूल इशाअ़त
मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली–53
Mob:–9312106346

नाम किताब	बहारे शरीअ़त (नवाँ हिस्सा)
मुसन्निफ़	स़दरुश्शरीअ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमह
हिन्दी तर्जमा	मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी
कम्प्यूटर कम्पोज़िंग	मौलाना मुहम्मद शफ़ीकुल हक़ रज़वी
क़ीमत जिल्द अव्वल	500/
त़ादाद	1000
इशाअ़त	2010 ई.

मिलने के पते :

1 मकतबा नईमिया ,मटिया महल, दिल्ली।
2 फ़ारूक़िया बुक डिपो ,मटिया महल ,दिल्ली।
3 नाज़ बुक डिपो ,मोहम्मद अ़ली रोड़ मुम्बई
4 अलक़ुरआन कम्पनी ,कमानी गेट,अजमेर।
5 चिश्तिया बुक डिपो दरगाह शरीफ़ अजमेर।
6 क़ादरी दारुल इशाअ़त, 523 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली। 9312106346
7 मकतबा रहमानिया रज़विया दरगाह आला हज़रत बरेली शरीफ़

फ़ेहरिस्त

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

आज़ाद करने का बयान

इत्क़ (यानी गुलाम आज़ाद करने) के मसाइल की हिन्दुस्तान में ज़रूरत नहीं पड़ती कि यहाँ न लोन्डी गुलाम हैं न उनके आज़ाद करने का मौक़ा यूहीं फ़िक़ह के और भी बाज़ ऐसे अबवाब हैं जिन की ज़माना–ए–हाल में यहाँ के मुसलमानों को हाजत नहीं इस वजह से ख़्याल होता था कि ऐसे मसाइल इस किताब में ज़िक्र न किये जायें मगर इन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देना भी ठीक नहीं कि किताब नाकिस रह जायेगी नीज़ हमारी इस किताब के अकसर बयानात में बाँदी गुलाम के इम्तियाज़ी मसाइल का थोड़ा थोड़ा ज़िक्र है तो कोई वजह नहीं इस जगह बिल्कुल पहलू तही की (छोड़ दिया) जाये लिहाज़ा मुख़्तसरन चन्द बातें गुज़ारिश करूँगा कि उस के अक़साम व् अहकाम पर क़दरे इत्तिलअ् हो जाये गुलाम आज़ाद करने की फ़ज़ीलत क़ुर्आन व हदीस से साबित है अल्ला अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है فَكُّ رَقَبَةٍ اَوْ اِطْعَامٌ فِیْ يَوْمٍ ذِیْ مَسْغَبَةٍ अहादीस इस बारे में बकसरत है बाज़ अहादीस ज़िक्र की जाती हैं।

हदीस न .1 :– सहीहैन में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स मुसलमान गुलाम को आज़ाद करेगा उस के हर अज़ू के बदले में अल्लाह तआला उस के हर अज़्व को जहन्नम से आज़ाद फ़रमायेगा सईद इब्ने मरजाना कहते हैं मैंने यह हदीस अली इब्ने हुसैन (इमाम ज़ैनुल आबिदीन) रदियल्लाहु तआला अन्हुमा को सुनाई उन्होंने अपना एक ऐसा गुलाम आज़ाद किया जिस की कीमत अब्दुल्लाह बिन जअ्फ़र दस हज़ार देते थे।

हदीस न. 2 :– नीज़ सहीहैन में अबूज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं मैंने हुज़ूर से अर्ज़ की किस गर्दन को आज़ाद करना ज़्यादा बेहतर है फ़रमाया जिस की कीमत ज़्यादा हो और ज़्यादा नफ़ीस हो मैंने कहा अगर यह न कर सकूँ फ़रमाया कि काम करने वाले की मदद करो या जो काम करना न जानता हो उस का काम कर दो मैंने कहा अगर यह करूँ फ़रमाया लोगों को ज़रर पहुँचाने से बचो कि इस से भी तुम को सदक़ा का सवाब मिलेगा।

हदीस न.3 :– बैहक़ी शोअ्बुल ईमान में बर्रा इब्ने आज़िब रदियल्लाहु तआला अन्हु रावी एक अअ्राबी ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हो कर अर्ज़ की मुझे ऐसा अमल तअ्लीम फ़रमाईये जो मुझे जन्नत में दाख़िल करे इरशाद फ़रमाया अगर्चे तुम्हारे अल्फ़ाज़ कम हैं मगर जिस बात का सवाल किया है वह बहुत बड़ी है(वह अमल यह है)कि जान को आज़ाद करो और गर्दन को छुड़ाओ अर्ज़ की यह दोनों एक ही हैं फ़रमाया एक नहीं जान को आज़ाद करना यह है कि उसे तन्हा आज़ाद कर दे और गर्दन छुड़ाना यह कि उस की कीमत में मदद करे।

हदीस न .4 :– अबू दाऊद व नसाई वासिला इब्ने असक़अ् रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कहते हैं हम हुज़ूर की ख़िदमत में, एक शख़्स के मुतअ़ल्लिक़ दरयाफ़्त करने हाज़िर हुए जिस ने क़त्ल की वजह से अपने ऊपर जहन्नम वाजिब कर लिया था इरशाद फ़रमाया उस की तरफ़ से आज़ाद करो उस के हर अज़्व के बदले में अल्लाह तआला उस के हर अज़्व को जहन्नम से आज़ाद करेगा।

हदीस न. 5 :– बैहक़ी शोअ़बुल ईमान में सुमरा इब्ने जुन्दुब रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी हुज़ूर ने फ़रमाया अफ़ज़ल सदक़ा यह है कि गर्दन छुड़ाने में सिफ़ारिश की ज़ाये।

मसाइले फ़िक़्हिया

गुलाम आज़ाद होने की चन्द सूरतें हैं एक यह कि उस के मालिक ने कह दिया कि तू आज़ाद है या उस के मिस्ल और कोई लफ़्ज़ जिस से आज़ादी साबित होती है दूसरी यह कि ज़ी रहम महरम उस का मालिक हो जाये तो मिल्क में आते ही आज़ाद हो जायेगा सोम यह कि ह़र्बी काफ़िर मुसलमान गुलाम को दारुलइस्लाम से ख़रीद कर दारुल ह़र्ब में ले गया तो वहाँ पहुँचते ही आज़ाद हो गया। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– आज़ाद करने की चार क़िस्में हैं **वाजिब, मन्दूब, मुबाह, कुफ़्र,** क़त्ल व ज़िहार व क़सम और रोज़ा तोड़ने के कफ़्फ़ारा में आज़ाद करना **वाजिब है मगर** क़सम में इख़्तियार है कि गुलाम आज़ाद करे या दस मसाकीन को खाना खिलाये या कपड़े पहनाये यह न कर सके तो तीन रोज़े रख ले यह बाक़ी तीन में अगर गुलाम आज़ाद करने पर क़ुदरत हो तो यही मुतअ़य्यन है **मन्दूब** वह है कि अल्लाह के लिए आज़ाद करे उस वक़्त कि जानिबे शरअ़ से उस पर यह ज़रूरी न हो **मुबाह** यह कि बग़ैर नियत आज़ाद किया **कुफ़्र वह** कि बुतों या शैतान के नाम पर आज़ाद किया कि गुलाम अब भी आज़ाद हो जायेगा मगर उस का यह फ़ेअ़्ल कुफ़्र हुआ कि उस के नाम पर आज़ाद करना दलीले तअ़्ज़ीम है और उन की तअ़्ज़ीम कुफ़्र (आलमगीरी जौहरा)

मसअ्ला :– आज़ाद करने के लिए मालिक का हुर आ़क़िल(आज़ाद)बालिग़ होना शर्त है यानी गुलाम अगर्चे माज़ून या मकातिब हो आज़ाद नहीं कर सकता और मजनून या बच्चा ने अपने गुलाम को आज़ाद किया तो आज़ाद न हुआ बल्कि जवानी में भी अगर कहे कि मैंने बचपन में उसे आज़ाद कर दिया था या होश में कहे कि जुनून की ह़ालत में मैंने आज़ाद कर दिया था और उस का मजनून होना मालूम हो तो आज़ाद न हुआ बल्कि अगर बच्चा यह कहे कि जब मैं बालिग़ हो जाऊँ तो तू आज़ाद है तो इस कहने से भी बालिग़ होने पर आज़ाद न होगा(आलमगीरी)

मसअ्ला : – अगर नशा में या मस्ख़रा पन से आज़ाद किया या ग़लती से ज़बान से निकल गया कि तू आज़ाद है तो आज़ाद हो गया या यह नहीं जानता था कि यह मेरा गुलाम है और आज़ाद कर दिया जब भी आज़ाद हो गया (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला : – आज़ाद करने को अगर मिल्क या सबबे मिल्क पर मुअ़ल्लक़ किया मसलन जो गुलाम कि फ़िलह़ाल उस की मिल्क में नहीं उस से कहा कि अगर मैं तेरा मालिक हो जाऊँ या तुझे ख़रीदूँ तो तू आज़ाद है उस सूरत में जब उस की मिल्क में आयेगा आज़ाद हो जायेगा और अगर मूरिस़ की मौत की तरफ़ इज़ाफ़त की यानी जो गुलाम मूरिस़ की मिल्क में है उस से कहा कि अगर मेरा मूरिस़ मरजाये तो तू आज़ाद है तो आज़ाद न होगा कि मौते मूरिस़ सबबे मिल्क नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला : – ज़बान से कहना शर्त नहीं बल्कि लिखने से और गूँगा हो तो इशारा करने से भी आज़ाद हो जायेगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला : – तलाक़ की तरह इस में भी बाज़ अल्फ़ाज़ स़रीह़ हैं बाज़ किनाया, स़रीह़ में नियत की ज़रूरत नहीं बल्कि अगर किसी और नियत से कहे जब भी आज़ाद हो जायेगा स़रीह़ के बाज़ अल्फ़ाज़ यह हैं तू आज़ाद है, हुर है, ऐ आज़ाद, ऐ हुर, मैंने तुझ को आज़ाद किया, हाँ अगर उस

का नाम ही आज़ाद है और ऐ आज़ाद कहा या नाम हुर है और ऐ हुर कह कर पुकारा तो आज़ाद न हुआ और अगर नाम आज़ाद है और ऐ हुर कह कर पुकारा या नाम हुर है और ऐ आज़ाद कह कर पुकारा तो आज़ाद हो जायेगा यह अल्फ़ाज़ भी सरीह के हुक्म में हैं नियत की ज़रूरत नहीं मैंने तुझे तुझ पर सदका किया या तुझे तेरे नफ़्स को हिबा किया, मैंने तुझे तेरे हाथ बेचा, उन में इस की भी ज़रूरत नहीं कि ग़ुलाम कबूल करे और अगर यूँ कहा कि मैंने तुझे तेरे हाथ इतने को बेचा, तो अब कबूल की ज़रूरत होगी अगर कबूल करेगा तो आज़ाद होगा और इतने देने पड़ेंगे, आज़ादी को ऐसे जुज़ की तरफ़ मन्सूब किया जो पूरे से तअ़बीर है मसलन तेरा सर, तेरी गर्दन, तेरी ज़बान, आज़ाद है तो आज़ाद हो गया और अगर हाथ या पाँव को आज़ाद कहा तो आज़ाद न हुआ और अगर तिहाई चौथाई निस्फ़ वग़ैरा को आज़ाद किया तो उतना आज़ाद हो गया अगर ग़ुलाम को कहा यह मेरा बेटा है या लोन्डी को कहा यह मेरी बेटी है अगर्चे उम्र में ज़्यादा हों या ग़ुलाम को कहा यह मेरा बाप या दादा है या लोन्डी को कहा कि यह मेरी माँ है अगर्चे उन की उम्र इतनी न हो कि बाप या दादा या माँ होने के काबिल हों तो इन सब सूरतों में आज़ाद हैं अगर्चे इस नियत से न कहा हो और अगर कहा ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन ऐ मेरे बाप, तो बग़ैर नियत आज़ाद नहीं। किनाया के बाज़ अल्फ़ाज़ यह हैं तू मेरी मिल्क नहीं, तुझ पर मुझे राह नहीं, तू मेरी मिल्क से निकल गया, इन में बग़ैर नियत आज़ाद न होगा अगर कहा तो आज़ाद की मिस्ल है तो इस में भी नियत की ज़रूरत है। (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार वग़ैरहुमा)

मसअला :– अल्फ़ाज़े तलाक से आज़ाद न होगा अगर्चे नियत हो यानी यह आज़ाद के लिए किनाया भी नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– ज़ी रहम महरम यानी ऐसा करीब का रिश्ता वाला कि अगर उन में से एक मर्द हो और एक औरत हो तो निकाह हमेशा के लिए हराम हो जैसे बाप माँ, बेटा, बेटी, भाई बहन, चचा फूफी मामूँ ख़ाला, भान्जी, उन में किसी का मालिक हो तो फ़ौरन ही आज़ाद हो जायेगा और अगर उन के किसी हिस्से का मालिक हो तो उतना आज़ाद हो गया इस में मालिक के आकिल बालिग़ होने की भी शर्त नहीं बल्कि बच्चा या मजनून भी ज़ी रहम महरम का मालिक हो तो आज़ाद होजायेगा(दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– अगर आज़ादी को किसी शर्त पर मुअ़ल्लक किया मसलन अगर तू फ़ुलाँ काम करे तो आज़ाद है और वह शर्त पाई गई तो ग़ुलाम आज़ाद है जब कि शर्त पाई जाने के वक़्त उस की मिल्क में हो और अगर ऐसी शर्त पर मुअ़ल्लक किया जो फ़िलहाल मौजूद है मसलन अगर मैं तेरा मालिक हो जाऊँ तो आज़ाद है तो फ़ोरन आज़ाद हो जायेगा(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– लौन्डी हामिला थी उसे आज़ाद किया तो उस के शिकम में जो बच्चा है वह भी आज़ाद है और अगर सिर्फ़ पेट के बच्चे को आज़ाद किया तो वही आज़ाद होगा लौन्डी आज़ाद न होगी मगर जब तक बच्चा पैदा न हो ले लौन्डी को बेच नहीं सकता (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– लौन्डी की औलाद जो शौहर से होगी वह उस लौन्डी के मालिक की मिल्क होगी और जो औलाद मौला से होगी वह आज़ाद होगी (आम्मए कुतुब)

मसअला :– यह ऊपर मालूम हो चुका है कि अगर किसी हिस्सा को आज़ाद किया तो उतना ही आज़ाद होगा यह उस सूरत में है कि जब वह हिस्से मुअ़य्यन हों मसलन आधा, तिहाई, चौथाई, और अगर ग़ैर मुअ़य्यन हो मसलन तेरा एक हिस्सा आज़ाद है तो इस सूरत में भी आज़ाद होगा मगर चूँकि हिस्सा ग़ैर मुअ़य्यन है लिहाज़ा मालिक से तअ़य्युन कराई जायेगी कि तेरी मुराद क्या है

जो वह बताये उतना आज़ाद करार पायेगा और दोनों सूरतों में यानी बाज़ मुअय्यन या ग़ैर मुअय्यन में जितना बाक़ी है उस में सआयत करायेंगे यानी उस ग़ुलाम की उस रोज़ जो क़ीमत बाज़ार के नर्ख़ से हो उस क़ीमत का जितना हिस्सा ग़ैर आज़ाद शुदा के मकाबिल हो और उतना मज़दूरी वग़ैरा करा कर वुसूल करें जब क़ीमत का वह हिस्सा वुसूल हो जाये उस वक़्त पूरा आज़ाद हो जायेगा (अम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– यह ग़ुलाम जिस का कोई हिस्सा आज़ाद हो चुका है उस के अहकाम यह हैं कि 1.उस को न बेच सकते हैं 2.न यह दूसरे का वारिस होगा 3.न उस का कोई वारिस होगा 4.न दो से ज़्यादा निकाह कर सके 5. न मौला की बग़ैर इजाज़त निकाह कर सके 6.न उन मुआमलात में गवाही दे सके जिन में ग़ुलाम की गवाही नहीं ली जाती 7.न हिबा कर सके 8.न सदक़ा दे सके मगर थोड़ी मिक़दार की इजाज़त है 9.और न किसी को क़र्ज़ दे सके 10.न किसी की किफ़ालत कर सके और 11.न मौला उस से ख़िदमत ले सकता है 12. न उस को अपने क़ब्ज़ा में रख सकता है (रद्दुल मुहतार आमलगीरी)

मसअ्ला :– जो ग़ुलाम दो शख़्सों की शिरकत में है उन में से एक ने अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया तो दूसरे को इख़्तियार है कि अगर आज़ाद करने वाला मालदार है (यानी मकान व ख़ादिम व सामाने ख़ाना दारी और बदन के कपड़ों के अलावा उस के पास इतना माल हो कि अपने शरीक के हिस्से की क़ीमत अदा कर सके) तो उस से अपने हिस्से का तावान ले या यह भी अपने हिस्सा को आज़ाद कर दे या यह अपने हिस्से की क़द्र सआयत कराये और यह भी हो सकता है कि उस को मुदब्बर कर दे मगर इस सूरत में भी फ़िलहाल सआयत कराई जाये और मौला के मरने के पहले अगर सआयत से क़ीमत अदा कर चुका तो अदा करते ही आज़ाद हो गया वरना उस के मरने के बाद अगर तिहाई माल के अन्दर हो तो आज़ाद है (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला : – जब एक शरीक ने आज़ाद कर दिया तो दूसरे को उस के बेचने या हिबा करने या महर में देने का हक़ नहीं(आलमगीरी)

मसअ्ला : – शरीक के आज़ाद करने के बाद उस ने सआयत शुरूअ् करा दी तो अब तावान नहीं ले सकता हाँ अगर ग़ुलाम इसनाए सआयत से क़ीमत अदा कर चुका तो अदा करते ही आज़ाद हो गया वरना उस के मरने के बाद अगर तिहाई माल के अन्दर हो तो आज़ाद है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला : – तावान लेने का हक़ उस वक़्त है कि उस ने बग़ैर इजाज़ते शरीक आज़ाद कर दिया और आज़ाद के बाद आज़ाद किया तो नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला : – किसी ने अपने दो ग़ुलामों को मुख़ातब कर के कहा तुम में का एक आज़ाद है तो उसे बयान करना होगा जिस को बताये कि मैंने उसे मुराद लिया वह आज़ाद हो जायेगा और बयान से क़ब्ल एक को बैअ् किया या रहन रखाया मुकातिब या मुदब्बर किया तो दूसरा आज़ाद होने के लिए मुअय्यन हो गया और न बयान किया न उस क़िस्म का कोई तसर्रुफ़ किया और एक मर गया तो जो बाक़ी है वह आज़ाद हो गया और अगर मौला ख़ुद मर गया तो वारिस को बयान करने का हक़ नहीं बल्कि हर एक में से आधा आधा आज़ाद और आधे से बाक़ी में दोनों सआयत (कोशिश)करें (आलमगीरी)

मसअ्ला : – ग़ुलाम से कहा तू इतने माल पर आज़ाद है और उसने उसी मज्लिस में या जिस मज्लिस में उस को इल्म हुआ कबूल कर लिया तो उसी वक़्त आज़ाद हो गया यह नहीं कि जब अदा करेगा उस वक़्त आज़ाद होगा और अगर यूँ कहा कि तू इतना अदा करे तो आज़ाद है तो

गुलाम माज़ून हो गया यानी उसे तिजारत की इजाज़त हो गई और इस सूरत में कबूल करने की हाजत नहीं बल्कि अगर इन्कार कर दे जब भी माज़ून रहेगा और जबतक उतने अदा न कर दे मौला उसे बेच सकता है (दुर्रे मुख़्तार)

मुदब्बर व मकातिब व उम्मे वलद का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ٥ وَ اٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِىْ اٰتَاكُمْ

तर्जमा :– "जिन लोगों के तुम मालिक हो (तुम्हारे लौन्डी गुलाम)वह किताबत चाहें तो उन्हें मकातिब कर दो अगर उन में भलाई देखो और उस माल में से जो ख़ुदा ने तुम्हें दिया है कुछ उन्हें दे दो"

हदीस न.1 :– अबूदाऊद बरिवायत अ़म्र इब्ने शोऐब अ़न् अबीहि अ़न जद्देही रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं मकातिब पर जब तक एक दिरहम भी बाक़ी है गुलाम ही है।

हदीस न.2 :– अबूदाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रावी कि हुजूर इरशाद फ़रमाते हैं जब तुम में किसी के मकातिब के पास पूरा बदले किताबत जमअ् हो जाये तो उस से पर्दा करे।

हदीस न. 3 :– इब्ने माजा व हाकिम इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि फ़रमाते हैं जिस कनीज़ के बच्चा उस के मौला से पैदा हो वह मौला के मरने के बाद आज़ाद है।

हदीस न.4 :– दारे कुतनी व बैहक़ी इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि फ़रमाते हैं मुदब्बर न बेचा जाये न हिबा किया जाये वह तिहाई माल से आज़ाद है।

मसाइले फ़िक़्हिया

मुदब्बर उस को कहते हैं जिस की निस्बत मौला ने कहा कि तू मेरे मरने के बाद आज़ाद है या यूँ कहा कि अगर मैं मरजाऊँ या जब मैं मरूँ तो तू आज़ाद है ग़र्ज़ उसी क़िस्म के वह अल्फ़ाज़ जिन से मरने के बाद उस का आज़ाद होना साबित होता है।

मसअला : – **मुदब्बर की दो क़िस्में हैं 1. मुदब्बरे मुत़लक़ 2. मुदब्बरे मुक़य्यद** मुदब्बिरे मुत़लक़ वह जिस में किसी ऐसे अम्र का इज़ाफ़ा न किया हो जिस का होना ज़रूरी न हो यानी मुत़लक़न मौत पर आज़ाद होना क़रार दिया मसलन अगर मैं मरूँ तो तू आज़ाद है और अगर किसी वक़्ते मुअ़य्यन पर या वस्फ़ के साथ मौत पर आज़ाद होना कहा तो मुक़य्यद है मसलन इस साल मरूँ या उस मर्ज़ में मरूँ कि उस साल या इस मर्ज़ से मरना ज़रूरी नहीं और अगर कोई ऐसा वक़्त मुक़र्रर किया कि ग़ालिब गुमान उस से पहले मरजाना है मसलन बूढ़ा शख़्स कहे कि आज से सौ बरस पर मरूँ तो तू आज़ाद है तो यह मुत़लक़ ही है कि यह वक़्त की क़ैद बेकार है क्योंकि ग़ालिब गुमान यही है कि अब वह सौ बरस तक ज़िन्दा न रहेगा (आलमगीरी वग़ैरह)

मसअला : – अगर यह कहा कि जिस दिन मरूँ तू आज़ाद है तो अगर्चे रात में मरे वह आज़ाद होगा कि दिन से मुराद यहाँ मुत़लक़ वक़्त है हाँ अगर कहे कि दिन से मेरी मुराद सुब्ह से ग़ुरूब आफ़ताब तक का वक़्त है यानी रात के अ़लावा तो यह नियत उस की मानी जायेगी मगर अब यह मुदब्बर मुक़य्यद होगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला : – मुदब्बर करने के बाद अब अपने उस क़ौल को वापस नहीं ले सकता मुदब्बर को न

बेच सकते हैं, न हिबा कर सकते, न रहन रख सकते, न सदक़ा कर सकते हैं (आलमगीरी)
मसअ्ला : – मुदब्बर गुलाम ही है यानी अपने मौला की मिल्क है उस को आज़ाद कर सकता ह मकातिब बना सकता है उस से ख़िदमत ले सकता है मज़दूरी पर दे सकता है अपनी विलायत से उस का निकाह कर सकता है और अगर लौन्डी मुदब्बरा है तो उस से वती कर सकता है उस का दूसरे से निकाह कर सकता है और मुदब्बरा से अगर मौला की औलाद हुई तो वह उम्मे वलद होगी (दुर्रे मुख़्तार)
मसअ्ला : – जब मौला मरेगा तो उस के तिहाई माल से मुदब्बर आज़ाद हो जायेगा यानी अगर यह तिहाई माल है या उस से कम तो बिलकुल आज़ाद हो गया और अगर तिहाई से ज़ाइद क़ीमत का है तो तिहाई की क़द्र आज़ाद हो गया बाक़ी के लिए सआयत करे और अगर उस के अलावा मौला के पास और कुछ न हो तो उस की तिहाई आज़ाद बाक़ी दो तिहाईयों में सआयत करे यह उस वक़्त है कि वुरसा इजाज़त न दें और अगर इजाज़त देदें या उस का कोई वारिस ही नहीं तो कुल आज़ाद है और अगर मौला पर दैन है कि यह गुलाम उस दैन में मुस्तग़रक़ है तो कुल क़ीमत में सआयत कर के क़र्ज़ ख़्वाहों को अदा करे (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)
मसअ्ला : – मुदब्बर मुक़य्यद का मौला मरा और उसी वस्फ़ पर मौत वाक़ेअ् हुई मसलन जिस मर्ज़ या वक़्त में मरने पर उस का आज़ाद होना कहा था वही हुआ तो तिहाई माल से आज़ाद हो जायेगा वरना नहीं और ऐसे मुदब्बर को बैअ् व हिबा व सदक़ा वग़ैरहा कर सकते हैं (आलमगीरी)
मसअ्ला :– मौला ने कहा तू मेरे मरने से एक महीना पहले आज़ाद है और उस कहने के बाद एक महीना के अन्दर मौला मर गया तो आज़ाद न हुआ और अगर एक महीना या ज़ाइद पर मरा तो गुलाम पूरा आज़ाद हो गया अगर्चे मौला के पास उस के अलावा कुछ माल न हो (आलमगीरी)
मसअ्ला : – मौला ने कहा तू मेरे मरने के एक दिन बाद आज़ाद है तो मुदब्बर न हुआ लिहाज़ा आज़ाद भी न होगा (आलमगीरी)
मसअ्ला : – मुदब्बरा के बच्चा पैदा हुआ तो यह भी मुदब्बर है जब कि वह मुदब्बरा मुतल्लक़ा हो और अगर मुक़य्यदा हो तो नहीं (दुर्रे मुख़्तार)
मसअ्ला : – मुदब्बरा लौन्डी के बच्चा पैदा हुआ और वह बच्चा मौला का हो तो वह अब मुदब्बरा न रही बल्कि उम्मे वलद हो गई कि मौला के मरने के बाद बिलकुल आज़ाद हो जायेगी अगर्चे उस के पास उस के सिवा कुछ माल न हो (दुर्रे मुख़्तार)
मसअ्ला : – गुलाम अगर नेक चलन हो और बज़ाहिर मालूम होता हो कि आज़ाद होने के बाद मुसलमानों को ज़रर(नुक़सान) न पहुँचायेगा तो ऐसा गुलाम अगर मौला से अक़्दे किताबत की दरख़्वास्त करे तो उस की दरख़्वास्त क़बूल कर लेना बेहतर है अक़्दे किताबत के यह मअ्ना हैं कि आक़ा अपने गुलाम से माल की एक मिक़दार मुक़र्रर कर के यह कह दे कि इतना अदा कर दे तू आज़ाद है और गुलाम उसे क़बूल भी करे अब यह मकातिब हो गया जब कुल अदा कर देगा आज़ाद हो जायेगा और जब तक उस में से कुछ भी बाक़ी है गुलाम ही है(जौहरा वग़ैरहा)
मसअ्ला : – मकातिब ने जो कुछ कमाया उस में तसर्रुफ़ कर सकता है जहाँ चाहे तिजारत के लिए जा सकता है मौला उसे परदेस जाने से नहीं रोक सकता अगर्चे अक़्दे किताबत में यह शर्त लगादी हो कि परदेस नहीं जायेगा कि यह शर्त बातिल है (मबसूत)
मसअ्ला : – अक़्दे किताबत में मौला को इख़्तियार है कि मुआविज़ा फ़िलहाल अदा करना शर्त कर दे या उस की क़िस्तें मुक़र्रर कर दे और पहली सूरत में अगर इसी वक़्त अदा न किया और दूसरी

सूरत में पहली किस्त अदा न की तो मकातिब न रहा (मबसूत)
मसअला :– नाबालिग़ गुलाम अगर इतना छोटा है कि ख़रीदना बेचना नहीं जानता तो उस से अ़क्दे किताबत नहीं हो सकता और अगर इतनी तमीज़ है कि ख़रीद व फ़रोख़्त कर सके तो हो सकता है (जौहरा)
मसअला : – मकातिब को ख़रीदने बेचने सफ़र करने का इख़्तियार है और मौला की बग़ैर इजाज़त अपना या अपने गुलाम का निकाह़ नहीं कर सकता और मकातिब लौंडी भी बग़ैर मौला की इजाज़त के अपना निकाह़ नहीं कर सकती और उन को हिबा और स़दक़ा करने का भी इख़्तियार नहीं हाँ थोड़ी सी चीज़ स़दक़ा कर सकते हैं जैसे एक रोटी या थोड़ा सा नमक और किफ़ालत और क़र्ज़ का भी इख़्तियार नहीं (जौहरा)
मसअला : – मौला ने अपने गुलाम का निकाह़ अपनी लौन्डी से कर दिया फिर दोनों से अ़क्द किताबत किया अब उन के बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा भी मकातिब है और यह बच्चा जो कुछ कमायेगा उस की माँ को मिलेगा और बच्चे का नफ़्क़ा उस की माँ पर है और इस की माँ का नफ़्क़ा उस के बाप पर (जौहरा)
मसअला : – मकातिबा लौन्डी से मौला व़ती नहीं कर सकता अगर वती करेगा तो अ़क़्द लाज़िम आयेगा और अगर लौन्डी के मौला से बच्चा पैदा हुआ तो उसे इख़्तियार है कि अ़क़्दे किताबत बाक़ी रखे और मौला से अ़क़्द ले या अ़क़्दे किताबत से इनकार कर के उम्मे वलद हो जाये (जौहरा)
मसअला :– मौला नें मकातिब का माल ज़ाइअ् कर दिया तो तावान लाज़िम होगा (जौहरा)
मसअला :– उम्मे वलद को भी मकातिबा कर सकता है और मकातिब को आज़ाद कर दिया ता बदले किताबत साकित़ हो गया (जौहरा)
मसअला :– उम्मे वलद उस लौन्डी को कहते हैं जिस के बच्चा पैदा हुआ और मौला ने इक़रार किया कि यह मेरा बच्चा है ख़्वाह बच्चा पैदा होने के बाद उस ने इक़रार किया ज़माना–ए–ह़मल में इक़रार किया हो कि यह ह़मल मुझ से है और इस सूरत में यह ज़रूरी है कि इक़रार के वक़्त से छः महीना के अन्दर बच्चा पैदा हो (दुर्रे मुख़्तार जौहरा)
मसअला : – बच्चा ज़िन्दा पैदा हुआ या मुर्दा बल्कि कच्चा बच्चा पैदा हुआ जिस के कुछ अअ्ज़ा बन चुके हैं सब का एक हुक्म है यानी अगर मौला इक़रार कर ले तो लौन्डी उम्मे वलद है (जौहरा)
मसअला : – उम्मे वलद के जब दूसरा बच्चा पैदा हो तो यह मौला ही का क़रार दिया जायेगा जब कि उस के तस़र्रुफ़ में हो अब उस के लिए इक़रार की ह़ाजत न होगी अलबत्ता अगर मौला इन्कार कर दे और कह दे कि यह मेरा नहीं तो अब उस का नसब मौला से न होगा और उस का बेटा नहीं कहलायेगा (दुर्रे मुख़्तार)
मसअला : – उम्मे वलद से सोह़बत कर सकता है ख़िदमत ले सकता है उस को इजारा पर दे सकता है यानी औरों के काम काज मज़दूरी पर करे और जो मज़दूरी मिले अपने मालिक को ला कर दे उम्मे वलद का किसी शख़्स के साथ निकाह़ कर सकता है मगर उस के लिए इस्तिबरा ज़रूर है और उम्मे वलद को न बेच सकता है न हिबा कर सकता है न गिरवीं रख सकता है न उसे ख़ैरात कर सकता है बल्कि किसी त़रह दूसरे की मिल्क में नहीं दे सकता (जौहरा आलमगीरी)
मसअला : – मौला की मौत के बाद उम्मे वलद बिलकुल आज़ाद हो जायेगी उस के पास और माल हो या न हो (ओम्मए कुतुब)

क़सम का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ٥

तर्जमा :– "अल्लाह को अपनी क़स्मों का निशाना न बनालो कि नेकी और परहेज़ गारी और लोगों में सुलह कराने की खालो" (यानी उन उमूर के न करने की क़सम न खालो)और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है,।

और फ़रमाता है।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ اَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ
وَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَ لَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ لَا يُزَكِّيْهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

तर्जमा :– " जो लोग अल्लाह के अ़हद और अपनी क़समों के बदले ज़लील दाम लेते हैं उन का आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं और अल्लाह न उन से बात करे न उन की तरफ़ नज़र फ़रमाये क़ियामत के दिन और न उन्हें पाक करे और उन के लिए दर्दनाक अ़ज़ाब है "

और फ़रमाता है

وَ اَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَ لَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ٥

तर्जमा :– "अल्लाह का अ़हद पूरा करो जब आपस में मुआहिदा और क़समों को मज़बूत करने के बाद न तोड़ो हालाँकि तुम अल्लाह को अपने ऊपर ज़ामिन कर चुके हो जो कुछ तुम करते हो अल्लाह जानता है"

और फरमाता है

وَ لَا تَتَّخِذُوْا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا

तर्जमा :– अपनी कसमें आपस में बे अस़ बहाना न बनाओ कि कहीं जमने के बाद पाँव फिसल न जायें"

और फ़रमाता है

وَلَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْا اُولِى الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَ الْمُهٰجِرِيْنَ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ٥

तर्जमा :– "तुम में से फ़ज़ीलत वाले और वुस्अ़त वाले इस बात की क़सम न खायें कि क़राबत वालों और मिस्कीनों और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को न देंगे क्या तुम उसे दोस्त नहीं रखाते कि अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत करे और अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है"।

हदीस न.1 :– सहीहैन में अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं अल्लाह तआ़ला तुम को बाप की क़सम खाने से मनअ़ करता है जो शख़्स क़सम खाये तो अल्लाह की क़सम खाये या चुप रहे।

हदीस न.2 :– सहीह मुस्लिम शरीफ़ में अ़ब्दुर्रहमान इब्ने सुमरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी रसूलुल्लाह स़ल्ललाहु तआ़ला अ़लैहि वस़ल्लम फ़रमाते हैं कि बुतों की और अपने बाप दादा की क़सम न खाओ।

हदीस न.3 :– सहीहैन में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी हुज़ूर अक़दस स़ल्लल्लाह तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो शख़्स़ लात व उ़ज़्ज़ा की क़सम खाये (यानी जाहिलीयत की आदत की वजह से यह लफ़्ज़ उस की ज़बान पर जारी हो जाये) वह ला इलाह इल्लल्लाह कह ले और जो अपने साथी से कहे आओ जुआ खेलें वह सदक़ा करे।

हदीस न.4 :– सहीहैन में साबित इब्ने ज़िहाक रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स ग़ैर मिल्लते इस्लाम पर झूटी क़सम खाये (यानी यह कहे कि अगर यह काम करे तो यहूदी या नसरानी हो जाये या यूँ कहे कि अगर यह काम किया हो तो यहूदी या नसरानी है)तो वह वैसा ही जैसा उस ने कहा (यानी काफ़िर है)और इब्ने आदम पर उस चीज़ की नज़्र नहीं जिस का वह मालिक नहीं और जो शख़्स अपने को जिस चीज़ से क़त्ल करेगा उसी के साथ क़यामत के दिन अज़ाब दिया जायेगा और मुसलमान पर लअ़नत करना ऐसा है जैसा उसे क़त्ल कर देना और जो शख़्स झूटा दअ़वा इस लिए करता है कि अपने माल को ज़्यादा करे अल्लाह तआला उस के लिए क़िल्लत में इज़ाफ़ा करेगा।

हदीस न.5 :– अबू दाऊद व नसाई व इब्ने माजा बरीदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसुलुल्लाह सलल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स यह कहे (कि अगर मैं ने यह काम किया है या करूँ) तो इस्लाम से बरी हूँ वह अगर झूटा है तो जैसा कहा वैसा ही है और अगर सच्चा है जब भी इस्लाम की तरफ़ सलामत न लोटैगा।

हदीस न.6 :– इब्ने जरीर अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया झूटी क़सम से सौदा फ़रोख़्त हो जाता है और बरकत मिट जाती है।

हदीस न.7 :– वैलमी उन्हीं से रावी कि फ़रमाया यमीने ग़मूस माल को ज़ाइल कर देती है और आबादी को वीराना कर देती है।

हदीस न.8 :– तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व नसाई व इब्ने माजा व दारमी अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स क़सम खाये और उस के साथ इन्शाअल्लाह कह ले तो हानिस न होगा।

हदीस न.9 :– बुख़ारी व मुस्लिम व अबू दाऊद व इब्ने माजा अबू मूसा अशअ़री रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं ख़ुदा की क़सम इन्शाअल्लाह तआला मैं कोई क़सम खाऊँ और उस के ग़ैर में भलाई देखूँ तो वह काम करूँगा जो बेहतर है और क़सम का कफ़्फ़ारा दे दूँगा।

हदीस न.10 :– इमाम मुस्लिम व इमाम अहमद व तिर्मिज़ी अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो शख़्स क़समें खाये और दूसरी चीज़ उस से बेहतर पाये तो क़सम का कफ़्फ़ारा देदे और वह काम करे।

हदीस न.11 :– सहीहैन में उन्हीं से मरवी हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया ख़ुदा की क़सम जो शख़्स अपने अहल के बारे में क़सम खाये और उस पर क़ाइम रहे तो अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा गुनहगार है ब निस्बत उस के कि क़सम तोड़कर कफ़्फ़ारा देदे।

हदीस न.12 :– क़सम उस पर महमूल होगी जो क़सम खिलाने वाले की नियत में हो।

मसाइले फ़िक़्हिया

क़सम खाना जाइज़ है मगर जहाँ तक हो कमी बेहतर है और बात बात पर क़सम खानी न चाहिए और बाज़ लोगों ने क़सम को तकिया–ए–कलाम बना रखा है कि इरादा व बे इरादा ज़बान से जारी होती है और उस का भी ख़्याल नहीं रखते कि बात सच्ची है या झूटी यह सख़्त मअ़यूब है और ग़ैर ख़ुदा की क़सम मकरूह है और यह शरअ़न क़सम भी नहीं यानी उस के तोड़ने से कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं। (तबईन वग़ैरा)

मसअला :– क़सम की तीन क़िस्म है 1. **ग़मूस** 2. **लग़्व** 3.**मुन्अ़क़िदा** अगर किसी ऐसी चीज़ के मुतअ़ल्लिक़ क़सम खाई जो हो चुकी है या अब है या नहीं हुई है या अब नहीं है मगर वह क़सम झूटी है मसलन क़सम खाई कि फ़ुलाँ शख़्स आया और वह अब तक नहीं आया है या क़सम खाई कि नहीं आया वह आ गया है या क़सम खाई कि यह पत्थर है और वाक़ेअ़ में वह पत्थर नहीं ग़र्ज़ यह कि उस तरह झूटी क़सम की दो सूरतें हैं जान बूझकर झूटी क़सम खाई यानी मसलन जिस के आने की निस्बत झूटी क़सम खाई थी यह ख़ुद भी जानता है कि नहीं आया है तो ऐसी क़सम को ग़मूस कहते हैं और अगर अपने ख़्याल से तो उस ने सच्ची क़सम खाई थी मगर हक़ीक़त में वह झूटी है मसलन जानता था कि नहीं आया और क़सम खाई कि नहीं आया और हक़ीक़त में वह आ गया है तो ऐसी क़सम को लग़्व कहते हैं और अगर आइन्दा के लिए क़सम खाई मसलन ख़ुदा की क़सम मैं यह काम करूँगा या न करूँगा तो उस को मुन्अ़क़िदा कहते हैं जब हर एक को ख़ूब जान लिया तो हर एक के अब अहकाम सुनिये।

मसअला :– ग़मूस में सख़्त गुनहगार हुआ इस्तिग़फ़ार व तोबा फ़र्ज़ है मगर कफ़्फ़ारा लाज़िम नही और लग़्व में गुनाह भी नहीं और मुन्अ़क़िदा में अगर क़सम तोड़ेगा कफ़्फ़ारा देना पड़ेगा और बाज़ सूरतों में गुनाहगार भी होगा। (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी वग़ैरहुमा)

मसअला :– बाज़ क़समें ऐसी हैं कि उन का पूरा करना ज़रूरी है मसलन किसी ऐसे काम के करने की क़सम खाई जिस का बग़ैर क़सम करना ज़रूरी था या गुनाह से बचने की क़मस खाई तो उस सूरत में क़सम सच्ची करना ज़रूरी है मसलन ख़ुदा की क़सम ज़ुहर पढ़ूँगा या चोरी या ज़ना न करूँगा दूसरी वह कि उस का तोड़ना ज़रूरी है मसलन गुनाह करने या फ़राइज़ व वाजिबात न करने की क़सम खाई जैसे क़सम खाई कि नमाज़ न पढ़ूँगा या चोरी करूँगा या माँ बाप से कलाम न करूँगा तो क़सम तोड़ दे तीसरी वह कि उस का तोड़ना मुस्तहब है मसलन ऐसे अम्र की क़सम खाई कि उस के ग़ैर में बेहतरी है तो ऐसे को तोड़कर वह करे जो बेहतर है चौथी वह कि मुबाह की क़सम खाई यानी करना और न करना दोनों यकसाँ हैं उस में क़सम बाक़ी रखना अफ़ज़ल है (मबसूत)

मसअला :– मुन्अ़क़िदा जब तोड़ेगा कफ़्फ़ारा लाज़िम आयेगा अगर्चे उस का तोड़ना शरअ़ ने ज़रूरी क़रार दिया हो।

मसअला :– मुन्अ़क़िदा तीन क़िस्में है 1.**यमीन फ़ौर** 2. **मुरसल** 3.**मोक़ित** अगर किसी ख़ास वजह से या किसी बात के जवाब में क़सम खाई जिस से उस काम का फ़ौरन करना या न करना समझा जाता है उस को यमीने फ़ौर कहते हैं ऐसी क़सम में अगर फ़ौरन वह बात होगई तो क़सम टूट गई और कुछ देर के बाद हो तो उस का कुछ असर नहीं मसलन औरत घर से बाहर जाने का तहय्या कर रही है उस ने कहा अगर तू घर से बाहर निकली तो तुझे तलाक़ है उस वक़्त औरत ठहर गई फिर दूसरे वक़्त गई तो तलाक़ नहीं हुई या एक शख़्स किसी को मारना चाहता था उस ने कहा अगर तूने उसे मारा तो मेरी औरत को तलाक़ है उस वक़्त उस ने नहीं मारा तो तलाक़ नहीं हुई अगर्चे किसी और वक़्त में मारे या किसी ने उस को नाश्ता के लिए कहा कि मेरे साथ नाश्ता कर लो उस ने कहा ख़ुदा की क़सम नाश्ता नहीं करूँगा और उस के साथ नाश्ता न किया तो क़सम नहीं टूटी अगर्चे घर जाकर उसी रोज़ नाश्ता किया हो और **मुक़ित** वह है जिस के लिए कोई वक़्त एक दिन दो दिन या कम व बेश मुक़र्रर कर दिया उस में अगर वक़्ते मुअ़य्यन के अन्दर क़सम के ख़िलाफ़ किया तो टूट गई वरना नहीं मसलन क़सम खाई कि उस घड़े में जो पानी है उसे आज

पियूँगा और आज न पिया तो क़सम टूट गई और कफ़्फ़ारा देना होगा और पी लिया तो क़सम पूरी होगई और उस वक़्त के पूरे होने से पहले वह शख़्स मर गया या उस का पानी गिरा दिया गया तो क़सम नहीं टूटी और अगर क़सम खाने के वक़्त उस घड़े में पानी था ही नहीं मगर क़सम खाने वाले को यह मालूम न था कि उस में पानी नहीं है जब भी क़सम नहीं टूटी और अगर उसे मालूम था कि पानी उस में नहीं है और क़सम खाई तो क़सम टूट गई और अगर क़सम में कोई वक़्त मुक़र्रर न किया और क़रीना से फ़ौरन करना या न करना समझा जाता हो तो उसे **मुरसल** कहते हैं किसी काम के करने की क़सम खाई और न किया मसलन क़सम खाई कि फ़लाँ को मारूँगा और न मारा यहाँ तक कि दोनों में से एक मर गया तो क़सम टूट गई और जब तक दोनों ज़िन्दा हों तो अगर्चे न मारा क़सम नहीं टूटी और न करने की क़सम खाई तो जब तक करेगा नहीं क़सम नहीं टूटेगी मसलन क़सम खाई कि मैं फ़ुलाँ को न मारूँगा और मारा तो टूट गई वरना नहीं (जौहरा नय्यरा)

मसअ्ला :– ग़लती से क़सम खा बैठा मसलन कहना चाहता था कि पानी लाओ या पानी पियूँगा और ज़बान से निकल गया कि ख़ुदा की क़सम पानी नहीं पियूँगा या यह क़सम खाना न चाहता था दूसरे ने क़सम खाने पर मजबूर किया तो वही हुक्म है जो क़स्दन और बिला मजबूर किए क़सम खाने का है यानी तोड़ेगा तो कफ़्फ़ारा देना होगा क़सम तोड़ना इख़्तियार से हो या दूसरे के मजबूर करने से क़स्दन हो या भूल चूक से हर सूरत में कफ़्फ़ारा है बल्कि अगर बेहोशी या जनून में क़सम तोड़ना हुआ जब भी कफ़्फ़ारा वाजिब है जब कि होश में क़सम खाई हो और अगर बेहोशी या जुनून में क़सम खाई तो क़सम नहीं कि आ़क़िल होना शर्त है और यह आ़क़िल नहीं(तबईन)

मसअ्ला :– क़सम के लिए चन्द शर्तें हैं कि अगर वह न हों तो कफ़्फ़ारा नहीं, क़सम खाने वाला 1. **मुसलमान** 2. **आ़क़िल** 3. **बालिग़** हो काफ़िर की क़सम क़सम नहीं यानी अगर ज़माना–ए–कुफ़्र में क़सम खाई फिर मुसलमान हुआ तो उस क़सम के तोड़ने पर कफ़्फ़ारा वाजिब न होगा और मआज़ल्लाह क़सम खाने के बाद मुरतद हो गया तो क़सम बातिल हो गई यानी अगर फिर मुसलमान हुआ और क़सम तोड़दी तो कफ़्फ़ारा नहीं आज़ाद होना शर्त नहीं यानी गुलाम की क़सम क़सम है तोड़ने से कफ़्फ़ारा वाजिब होगा मगर कफ़्फ़ारा माली नहीं दे सकता कि किसी चीज़ का मालिक है नहीं हाँ रोज़े से कफ़्फ़ारा अदा कर सकता है मगर मौला इस रोज़े से उसे रोक सकता है लिहाज़ा अगर रोज़ा के साथ कफ़्फ़ारा अदा न किया हो तो आज़ाद होने के बाद कफ़्फ़ारा दे। 4. **और क़सम** में यह भी शर्त है कि वह चीज़ जिस की क़सम खाई अक़लन मुमकिन हो यानी हो सकती हो अगर्चे मुहाल आदी हो 5. **और यह** भी शर्त है कि क़सम और जिस चीज़ की क़सम खाई दोनों को एक साथ कहा हो दरमियान में फ़ासिला होगा तो क़सम न होगी मसलन किसी ने उस से कहलाया कि कह ख़ुदा की क़सम इस ने कहा ख़ुदा की क़सम उस ने कहा कि कह फ़ुलाँ काम करूँगा इस ने कहा तो यह क़सम न हुई । (आमलगीरी रदुल मुहतार)

मसअ्ला :– अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के जितने नाम हैं उन में से जिस नाम के साथ क़सम खायेगा तो क़सम हो जायेगी ख़्वाह बोल चाल में उस नाम के साथ क़सम खाते हों या नहीं मसलन अल्लाह की क़सम, ख़ुदा की क़सम, रहमान की क़सम, रहीम की क़सम, परवरदिगार की क़सम, यूँहीं ख़ुदा की जिस सिफ़त की क़सम खाई जाती हो उस की क़सम खाई हो गई मसलन ख़ुदा की इज़्ज़त व जलाल की क़सम, उस की किबरियाई की क़सम, उस की बुज़ुर्गी या बड़ाई की क़सम, उस की अज़मत की क़सम, उस की क़ुदरत व क़ुव्वत की क़सम, क़ुर्आन की क़सम, कलामुल्लाह की क़सम,

तो यहूदी हो गया यूँहीं अगर कहा खुदा जानता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है और यह बात उस ने झूट कही है तो अइन अल्फ़ाज़ से भी क़सम हो जाती है हल्फ़ करता हूँ, क़सम खाता हूँ, मैं शहादत देता हूँ, खुदा गवाह है, खुदा को गवाह कर के कहता हूँ, मुझ पर क़सम है, ला–इलाह इल्लल्लाह मैं यह काम न करूँगा, अगर यह काम करे या किया हो तो यहूदी है या नसरानी या काफ़िर या काफ़िरोंका शरीक, मरते वक़्त ईमान नसीब न हो। बे ईमान मरे काफ़िर हो कर मरे और यह अल्फ़ाज़ बहुत सख़्त हैं कि अगर झूटी क़सम खाई या क़सम तोड़ दी तो बाज़ सूरत में काफ़िर होजायेगा जो शख़्स इस क़िस्म की झुटी क़सम खाये उस की निस्बत हदीस में फ़रमाया वह वैसा ही है जैसा उस ने कहा यानी यहूदी होने की क़सम खाई कसर उलमा के नज़दीक काफ़िर है

मसअ्ला :– यह अल्फ़ाज़े क़सम नहीं अगर्चे उनके बोलने से गुनाहगार होगा जब कि अपनी बात में झूटा है अगर ऐसा करूँ तो मुझ पर अल्लाह का ग़ज़ब हो। उस की लअ्नत हो, उस का अज़ाब हो, खुदा का क़हर टूटे मुझ पर आसमान फद पड़े, मुझे ज़मीन निगल जाये, मुझ पर खुदा की मार हो, खुदा की फटकार हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की शफ़ाअ़त न मिले मुझे खुदा का दीदार न नसीब हो, मरते वक़्त कलिमा न नसीब हो।

मसअ्ला :– जो शख़्स किसी चीज़ को अपने ऊपर हराम करे मसलन कहे कि फुलाँ चीज़ मुझ पर हराम है तो उस कें कह देने से वह शय हराम नहीं होगी कि अल्लाह ने जिस चीज़ को हलाल किया उसे कौन हराम कर सकेगा मगर उस के बरतने से कफ़्फ़ारा लाज़िम आयेगा यानी यह भी क़सम है । (तबईन)

मसअ्ला :– तुझ से बात करना हराम है यह यमीन है बात करेगा तो कफ़्फ़ारा लज़िम होगा(आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर उस को खाऊँ तो सुअर खाऊँ या मुर्दार खाऊँ यह क़सम नहीं यानी कफ़्फ़ारा लाज़िम न होगा । (मबसूत)

मसअ्ला :– ग़ैर खुदा की क़सम क़सम नहीं मसलन तुम्हारी क़सम अपनी क़सम, तुम्हारी जान की क़सम, अपनी जान की क़सम, तुम्हारे सर की क़सम, अपने सर की क़सम, आँखों की क़सम, जवानी की क़सम, माँ बाप की क़सम, औलाद की क़सम, मज़हब की क़सम, दीन की क़सम, इल्म की क़सम, कअ्बा की क़सम, अर्शे इलाही की क़सम, रसूलुल्लाह की क़सम।

मसअ्ला :– खुदा और रसूल की क़सम यह काम न करूँगा, यह क़सम नहीं अगर कहा मैंने क़सम खाई है कि यह काम न करूँगा और वाक़ेअ् में क़सम खाई है तो क़सम है और झूट कहा तो क़सम नहीं झूट बोलने का गुनाह हुआ और अगर कहा खुदा की क़सम कि इस से बड़ कर कोई क़सम नहीं या उस के नाम से बुज़ुर्ग कोई नाम नहीं या उस से बड़ कर कोई नहीं मैं उस काम को न करूँगा तो यह क़सम होगई और दरमियान का लफ़्ज़ फ़ाज़िल क़रार न दिया जायेगा । (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर यह काम करूँ तो खुदा से मुझे जितनी उमीद हों सब से ना उमीद हूँ यह क़सम है और तोड़ने पर कफ़्फ़ारा लाज़िम । (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर यह काम करूँ तो काफ़िरों से बद तर हो जाऊँ तो क़सम है और अगर कहा कि यह काम करे तो काफ़िर को उस पर शरफ़ हो तो क़सम नही । (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर किसी काम की चन्द क़समें खाईं और उस के ख़िलाफ़ किया तो जितनी क़समें हैं उतने ही कफ़्फ़ारे लाज़िम होंगे मसलन कहा कि वल्लाह बिल्लाह मैं यह नहीं करूँगा या कहा खुदा की क़सम, परवरदिगार की क़सम, तो यह दो क़समें हैं। किसी काम की निस्बत क़सम, खाई

कि मैं उसे कभी न करूँगा फिर दो बारा उसी मज्लिस में क़सम खाकर कहा कि मैं उस काम को कभी न करूँगा फिर उस काम को किया तो दो कफ़्फ़ारे लाज़िम (आलमगीरी)

मसअला :– वल्लाह उस से एक दिन कलाम न करूँगा, ख़ुदा की क़सम उस से महीना भर कलाम न करूँगा, ख़ुदा की क़सम उस से साल भर बात न करूँगा फिर थोड़ी देर बाद कलाम किया तो तीन कफ़्फ़ारे दे और एक दिन के बाद बात की तो दो कफ़्फ़ारे और महीना भर के बाद कलाम किया तो एक कफ़्फ़ारा और साल भर के बाद किया तो कुछ नहीं क़सम खाई कि फ़ुलाँ बात मैं न कहूँगा न एक दिन न दो दिन तो यह एक ही क़सम है जिस की मीआद दो दिन तक है (आलमगीरी)

मसअला :– दूसरे के क़सम दिलाने से क़सम नहीं होती मसलन कहा तुम्हें ख़ुदा की क़सम यह काम कर दो तो उस के कहने से उस पर क़सम न हुई यानी न करने से कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं एक शख़्स किसी के पास गया उस ने उठना चाहा उस ने कहा ख़ुदा की क़सम न उठना और वह खड़ा हो गया तो उस क़सम खाने वाले पर कफ़्फ़ारा नहीं (आलमगीरी)

मसअला : – एक ने दूसरे से कहा तुम फ़ुलाँ के घर कल गये थे उस ने कहा हाँ फिर उस पूछने वाले ने कहा ख़ुदा की क़सम तुम गये थे उस ने कहा हाँ उस का हाँ कहना क़सम है एक ने दूसरे से कहा कि अगर तुम ने फ़ुलाँ शख़्स से बात चीत की तो तुम्हारी औरत को तलाक़ है उस ने जवाब में कहा मगर तुम्हारी इजाज़त से तो उस के कहने का मक़सद यह हुआ कि अगर बग़ैर उस की इजाज़त के कलाम करेगा तो औरत को तलाक़ है लिहाज़ा बग़ैर इजाज़त कलाम करने से औरत को तलाक़ हो जायेगी (आलमगीरी)

मसअला :– एक ने दूसरे से कहा ख़ुदा की क़सम तुम यह काम करोगे अगर उस से ख़ुद क़सम खाना मुराद है तो क़सम हो गई और अगर क़सम खिलाना मक़सूद है या न ख़ुद खाना मक़सूद है न खिलाना तो क़सम नहीं यानी अगर दूसरे ने उस काम को न किया तो किसी पर कफ़्फ़ारा नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– एक ने दूसरे से कहा ख़ुदा की क़सम तुम्हें यह काम करना होगा ख़ुदा की क़सम तम्हें यह काम करना होगा दूसरे ने कहा हाँ अगर पहले का मक़सूद क़सम खाना है और दूसरे का भी हाँ कहने से क़सम खाना मक़सूद है तो दोनों की क़सम होगई और अगर पहले का मक़सूद क़सम खिलाना है और दूसरे का क़सम खाना तो दूसरे की क़सम होगई और अगर पहले का मक़सूद क़सम खिलाना है और दूसरे का मक़सूद हाँ कहने से क़सम खाना नहीं बल्कि वअ्दा करना है तो किसी की क़सम न हुई (आलमगीरी)

मसअला : – एक ने दूसरे से कहा ख़ुदा की क़सम मैं तुम्हारे यहाँ दअ्वत में नहीं आऊँगा तीसरे ने कहा क्या मेरे यहाँ भी न आओगे उस ने कहा हाँ तो यह हाँ कहना भी क़सम है यानी उस तीसरे के यहाँ जाने से भी क़सम टूट जायेगी (आलमगीरी)

कफ़्फ़ारा का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

तर्जमा :– "अल्लाह ऐसी क़समों में तुझ से मुआख़िज़ा नहीं करता जो गलत फ़हमी से हो जायें हाँ उन पर गिरफ़्त करता है जो तुम्हारे दिलों ने काम किये और अल्लाह बख़्शने वाला हिल्म वाला हैं।

और फ़रमाता है। قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝

बेशक अल्लाह ने तुम्हारी क़समों का कफ़्फ़ारा मुक़र्रर किया है और अल्लाह तुम्हारा मौला है और वह इल्म वाला और हिकमत वाला है"

और फ़रमाता है

لَا یُؤَاخِذُکُمُ اللّٰہُ بِاللَّغْوِ فِیۡۤ اَیۡمَانِکُمۡ وَلٰکِنۡ یُّؤَاخِذُکُمۡ بِمَا عَقَّدۡتُّمُ الۡاَیۡمَانَ ج فَکَفَّارَتُہٗۤ اِطۡعَامُ عَشَرَۃِ مَسٰکِیۡنَ مِنۡ اَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُوۡنَ اَہۡلِیۡکُمۡ اَوۡ کِسۡوَتُہُمۡ اَوۡ تَحۡرِیۡرُ رَقَبَۃٍ ط فَمَنۡ لَّمۡ یَجِدۡ فَصِیَامُ ثَلٰثَۃِ اَیَّامٍ ط ذٰلِکَ کَفَّارَۃُ اَیۡمَانِکُمۡ اِذَا حَلَفۡتُمۡ ط وَاحۡفَظُوۡۤا اَیۡمَانَکُمۡ ط کَذٰلِکَ یُبَیِّنُ اللّٰہُ لَکُمۡ اٰیٰتِہٖ لَعَلَّکُمۡ تَشۡکُرُوۡنَ ٥

तर्जमा :– "अल्लाह तुम्हारी ग़लत फ़हमी की क़समों पर तुम से मुआख़िज़ा (पकड़) नहीं करता हाँ उन क़समों पर गिरफ़्त फ़रमाता है जिन्हें तुम ने मज़बूत किया तो ऐसी क़समों का कफ़्फ़ारा दस मिस्कीन को खाना देना है अपने घर वालों को जो खिलाते हो उस के औसत(दर्मियानी दर्जे का)में से या उन्हें कपड़ा देना या एक गुलाम आज़ाद करना और जो इन में से किसी बात पर कुदरत न रखता हो वह तीन दिन के रोज़े रखे यह तुम्हारी क़समों का कफ़्फ़ारा है जब क़सम खाओ और अपनी क़समों की हिफ़ाज़त करो इसी तरह अल्लाह अपनी निशानियाँ तुम्हारे लिए बयान फ़रमाता है ताकि तुम शुक्र करो"।

यह तो मालूम हो चुका कि क़सम तोड़ने से कफ़्फ़ारा लाज़िम आता है अब यह मालूम करने की ज़रूरत है कि क़सम तोड़ने का क्या कफ़्फ़ारा है और उस की क्या–क्या सूरतें हैं लिहाज़ा अब उस के अहकाम की तफ़सील सुनिये।

मसअला :– क़सम का कफ़्फ़ारा गुलाम आज़ाद करना या दस मिस्कीनों को खाना खिलाना या उन को कपड़े पहनाना है यानी यह इख़्तियार है कि उन तीन बातों में से जो चाहे करे।

मसअला :– गुलाम आज़ाद करने या मसाकीन को खाना खिलाने में उन तमाम बातों की जो कफ़्फ़ारा–ए–ज़िहार में मज़कूर हुईं यहाँ भी रिआयत करे मसलन किस क़िस्म का गुलाम आज़ाद किया जाये कि कफ़्फ़ारा अदा हो और कैसे गुलाम के आज़ाद करने से अदा न होगा और मसाकीन को दोनों वक़्त पेट भर कर खिलाना होगा और जिन मसाकीन को सुबह के वक़्त खिलाया उन ही को शाम के वक़्त भी खिलाये दूसरे दस मसाकीन को खिलाने से अदा न होगा और यह हो सकता है दसों को एक ही दिन खिलादे या हर रोज़ एक एक को या एक ही को दस दिन तक दोनों वक़्त खिलाये और मसाकीन जिन को खिलाया उन में कोई बच्चा न हो और खिलाने में इबाहत व तमलीक दोनों सूरतें हो सकती हैं और यह भी हो सकता है कि खिलाने के एवज़ हर मिस्कीन को निस्फ़ साअ् गेहूँ या एक साअ् जौ या उन की क़ीमत का मालिक कर दे या दस रोज़ तक एक ही मिस्कीन को हर रोज़ बक़द्र सदक़–ए–फ़ित्र दे दिया करे या बाज़ को खिलाये और बाज़ को दे दे ग़र्ज़ यह कि उस की तमाम सूरतें वहीं से मालूम करें फ़र्क़ इतना है कि वहाँ साठ (60)मिस्कीन थे यहाँ दस हैं।

मसअला :– कपड़े से वह कपड़ा मुराद है जो अकसर बदन को छुपा सके और वह कपड़ा ऐसा हो जिस को मुतवस्सित दर्जे के लोग पहनतें हों और तीन महीने से ज़्यादा तक पहना जा सके लिहाज़ा अगर इतना कपड़ा है जो अकसर बदन को छुपाने के लिए काफ़ी नहीं मसलन सिर्फ़ पाजामा या

टोपी या छोटा कुर्ता यूँहीं ऐसा घटिया कपड़ा देना जिसे मुतवस्सित लोग न पहनते हों नाकाफ़ी यूँहीं ऐसा कमज़ोर कपड़ा देना जो तीन माह तक इस्तिअ़्माल न किया जा सकता हो जाइज़ नहीं है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– कपड़ा की जो मिक़दार होनी चाहिए उसका निस्फ़ दिया और उस की क़ीमत निस्फ़ साअ़् गेहूँ और एक साअ़् जौ के बराबर है तो जाइज़ है यूंहीं एक कपड़ा दस मिस्कीनों को दिया जो तक़सीम हो कर हर एक को इतना मिलता है जिसकी क़ीमत सदक़ा–ए–फ़ित्र के बराबर है तो जाइज़ है यूंहीं अगर मिस्कीन को पगड़ी दी और वह कपड़ा इतना है कि जिसकी मिक़दार मज़कूर हुई या उस की क़ीमत सदक़ा–ए–फ़ित्र के बराबर है तो जाइज़ है वरना नहीं (मबसूत वग़ैरा)

मसअला :– नया कपड़ा होना ज़रूरी नहीं पुराना भी दिया जा सकता है जब कि तीन महीने से ज़्यादा तक इस्तिमाल कर सकते हों और नया हो मगर कमज़ोर हो तो जाइज़ नहीं (रदुल मुहतार)

मसअला :– औरत को अगर कपड़ा दिया तो सर पर बाँधने का रूमाल या दोपट्टा देना होगा क्योंकि उसे सर का छुपाना भी फ़र्ज़ है (रदुल मुहतार)

मसअला : – पाँच मिस्कीनों को खाना खिलाया या पाँच को कपड़े देदिये अगर खाना कपड़े से सस्ता है यानी हर मिस्कीन का कपड़ा एक खाने से ज़्यादा या बराबर क़ीमत का है तो जाइज़ है यानी यह कपड़े पाँच खाने के क़ाइम मक़ाम कुल खाना देना क़रार पायेगा और अगर कपड़ा खाने से अरज़ाँ (सस्ता)हो तो जाइज़ नहीं मगर जब कि खाने का मसाकीन को मालिक कर दिया हो तो यह भी जाइज़ है यानी यह खाने पाँच मिस्कीन के कपड़े के बराबर हुए तो गोया दसों को कपड़े दे(रदुल मुहतार)

मसअला :– अगर एक मिस्कीन को दसों कपड़े एक दिन में एक साथ या मुतफ़र्रिक़ तौर पर देदे तो कफ़्फ़ारा अदा न हुआ और दस दिन में दे यानी हर रोज़ एक कपड़ा तो होगया(मबसूत)

मसअला :– मिस्कीन को कपड़ा या ग़ल्ला या क़ीमत दी फिर वह मिस्कीन मर गया और उस के पास वह चीज़ वुरासतन पहुँची या उस ने उसे हिबा कर दिया या उस ने उस से वह शय (चीज़) ख़रीदली तो इन सब सूरतों में कफ़्फ़ारा सही हो गया (आलमगीरी)

मसअला :– पाँच साअ़् गेहूँ दस मिस्कीनों के सामने रख दिये उन्हों ने लूट लिए तो सिर्फ़ एक मिस्कीन को देना क़रार पायेगा (आलमगीरी)

मसअला : – कफ़्फ़ारा अदा होने के लिए नियत शर्त है बग़ैर नियत अदा न होगा अगर वह शय जो मिस्कीन को दी और देते वक़्त नियत न की मगर वह चीज़ अभी मिस्कीन के पास मौजूद है और अब नियत कर ली तो अदा हो गया जैसा कि ज़कात में फ़क़ीर को देने के बाद नियत करने में यही शर्त है उस वक़्त वह चीज़ फ़क़ीर के पास बाक़ी हो नियत काम करेगी वरना नहीं (तहतावी)

मसअला : – अगर किसी, ने कफ़्फ़ारा में ग़ुलाम भी आज़ाद किया और मसाकीन को खाना भी खिलाया और कपड़े भी दिये तो एक ही वक़्त में यह सब काम हुए या आगे पीछे तो जिसकी क़ीमत ज़्यादा है वह कफ़्फ़ारा क़रार पायेगा और अगर कफ़्फ़ारा दिया ही नहीं तो सिर्फ़ उसका मुआख़िज़ा होगा जो क़ीमत है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला : – गेहूँ, जौ, मुनक़्क़े के के अ़लावा अगर कोई दूसरा ग़ल्ला देना चाहे तो आधे साअ़् गेहूँ या एक साअ़् जौ की क़ीमत का होना ज़रूर है उस ने आधा साअ़् या एक साअ़् होने का एअ़्तिबार नहीं (जौहरा)

मसअला :– रमज़ान में अगर कफ़्फ़ारे का खाना खिलाना चाहता है तो शाम और सहरी दोनों वक़्त खाना खिलाये या एक मिस्कीन को बीस दिन शाम का खाना खिलाये (जौहरा)

मसअ्ला :– अगर गुलाम आज़ाद करने या दस मिस्कीन को खाना या कपड़े देने पर क़ादिर न हो तो पै दर पै तीन रोज़े रखे (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला : – आजिज़ होना उस वक़्त का मोअ्तबर है जब कफ़्फ़ारा अदा करना चाहता है मसलन जिस वक़्त क़सम तोड़ी थी उस वक़्त मालदार था मगर कफ़्फ़ारा अदा करने के वक़्त मोहताज है तो रोज़ा से कफ़्फ़ारा अदा कर सकता है और अगर तोड़ने के वक़्त मुफ़लिस था और अब मालदार तो रोज़े से नहीं अदा कर सकता (जौहरा वग़ैरहा)

मसअ्ला : – अपना तमाम् माल हिबा कर दिया और क़ब्ज़ा भी देदिया उस के बाद कफ़्फ़ारे के रोज़े रखे फिर हिबा से रुजूअ् किया तो कफ़्फ़ारा अदा हो गया (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जब गुलाम अपनी मिल्क में है या इतना माल रखता है कि मिस्कीन को खाना या कपड़े दे सके अगर्चे खुद मक़रूज़ या मदयून (क़र्ज़ मन्द) हो तो आजिज़ (मजबूर)नहीं यानी ऐसी हालत में रोज़े से कफ़्फ़ारा अदा न होगा हाँ अगर क़र्ज़ और दैन अदा करने के बाद कफ़्फ़ारे के रोज़े रखे तो हो जायेगा और मबसूत में इमाम सुर्ख़सी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने फ़रमाया कि अगर कुल माल दैन में मुस्तग़रक़ हो तो दैन अदा करने से पहले भी रोज़ा से कफ़्फ़ारा अदा कर सकता है और अगर गुलाम मिल्क में है मगर उस की एहतियाज(ज़रूरत)है तो रोज़े से कफ़्फ़ारा अदा न होगा(जौहरा)

मसअ्ला :– एक साथ तीन रोज़े न रखे यानी दरमियान में फ़ासिला कर दिया तो कफ़्फ़ारा अदा न हुआ अगर्चे किसी मजबूरी के सबब नागा हुआ हो यहाँ तक कि औरत को अगर हैज़ आ गया तो पहले के रोज़े का एअ्तिबार न होगा यानी अब पाक होने के बाद लगातार तीन रोज़े रखे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– रोज़ों से कफ़्फ़ारा अदा होने के लिए यह भी शर्त है कि ख़त्म तक माल पर कुदरत न हो यानी मसलन अगर दो रोज़े रखने के बाद इतना माल मिल गया कि कफ़्फ़ारा अदा करे तो अब रोज़ों से नहीं हो सकता बल्कि अगर तीसरा रोज़ा भी रख लिया है और गुरूब आफ़ताब से पहले माल पर क़ादिर हो गया तो रोज़े नाकाफ़ी हैं अगर्चे माल पर क़ादिर होना यूँ हुआ कि उस के मोरिस का इन्तिक़ाल हो गया और उस को तरका इतना मिलेगा जो कफ़्फ़ारा के लिए काफ़ी है(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– कफ़्फ़ारे का रोज़ा रखा था और इफ़्तार से पहले माल पर क़ादिर होगया तो उस का रोज़ा पूरा करना ज़रूरी नहीं हाँ बेहतर पूरा करना है और तोड़दे तो क़ज़ा ज़रूरी नहीं(जौहरा)

मसअ्ला :– अपनी मिल्क में माल था मगर उसे मालूम नहीं या भूल गया है और कफ़्फ़ारे में रोज़े रखने के बाद में याद आया तो कफ़्फ़ारा अदा न हुआ यूँही अगर मूरिस मर गया और उसे उस के मरने की ख़बर नहीं और कफ़्फ़ारा में रोज़े रखे बाद को उस का मरना मालूम हुआ तो कफ़्फ़ारा माल से अदा करे (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– उस के पास खुद उस वक़्त माल नहीं है मगर उसका औरों पर दैन है तो अगर वुसूल कर सकता है वुसूल कर के अदा करे रोज़े नाकाफ़ी हैं यूँही अगर औरत के पास माल नहीं है मगर शौहर पर दैन महर बाक़ी है और शौहर दैन महर देने पर क़ादिर है यानी अगर औरत लेना चाहे तो ले सकती है तो रोज़ों से कफ़्फ़ारा अदा न होगा और अगर उस की मिल्क में माल है मगर ग़ाइब है यहाँ मौजूद नहीं है तो रोज़ों से कफ़्फ़ारा हो सकता है(आलमगीरी)

मसअ्ला :– औरत माल से कफ़्फ़ारा अदा करने से आजिज़ हो और रोज़ा रखना चाहती हो तो शौहर उसे रोज़ा रखने से रोक सकता है (जौहरा)

मसअला :– उन रोज़ों में रात से नियत शर्त है और यह भी ज़रूरी है कि कफ़्फ़ारा की नियत से हो मुतलक रोज़ा की नियत नहीं। (मबसूत)

मसअला :– क़सम के दो कफ़्फ़ारे उस के ज़िम्मा थे उस ने छः रोज़े रख लिए और यह मुअय्यन न किया कि यह तीन फ़ुलाँ के हैं और यह तीन फ़ुलाँ के तो दोनों कफ़्फ़ारे अदा हो गये और अगर दोनों कफ़्फ़ारों में हर मिस्कीन को दो फ़ितरे के बराबर दिया या दो कपड़े दिये तो एक ही कफ़्फ़ारा अदा हुआ (मबसूत)

मसअला :– उस के ज़िम्मे दो कफ़्फ़ारे थे और फ़कत एक कफ़्फ़ारा में खाना खिला सकता है उस ने पहले तीन रोज़े रख लिए फिर दूसरे कफ़्फ़ारे के लिए खाना खिलाया तो रोज़े फिर से रखे कि खिलाने पर क़ादिर था उस वक़्त रोज़ों से कफ़्फ़ारा अदा करना जाइज़ न था (मबसूत)

मसअला :– दो कफ़्फ़ारे थे एक के लिए खाना खिलाया और एक के लिये कपड़े दिये और मुअय्यन (ख़ास) न किया तो दोनों अदा हो गये (आलमगीरी)

मसअला :– पाँच मिस्कीन को खाना खिलाया अब खुद फ़कीर हो गया कि बाक़ी पाँच को नही खिला सकता तो वही तीन रोज़े रख ले (आलमगीरी)

मसअला : –उस के ज़िम्मे क़सम का कफ़्फ़ारा है और मोहताज है कि न खाना दे सकता है न कपड़ा और यह शख़्स इतना बूढ़ा है कि न अब रोज़ा रख सकता है न आइन्दा रोज़े रखने की उमीद है तो अगर कोई चाहे उस की तरफ़ से दस मिस्कीन को खाना खिलादे यानी उस की इजाज़त से कफ़्फ़ारा अदा हो जायेगा यह नहीं हो सकता कि उस के ज़िम्मे चूँकि तीन रोज़े थे तो हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाये (आलमगीरी)

मसअला :– मरजाने से क़सम का कफ़्फ़ारा साक़ित न होगा यानी उस पर लाज़िम है कि वसियत कर जाये और तिहाई माल से कफ़्फ़ारा अदा करना वारिसों पर लाज़िम होगा और उस ने खुद वसियत न की और वारिस देना चाहता है तो दे सकता है (आलमगीरी)

मसअला :– क़सम तोड़ने से पहले कफ़्फ़ारा नहीं और दिया तो अदा न हुआ यानी अगर कफ़्फ़ारा देने के बाद क़सम तोड़ी तो अब फिर दे कि जो पहले दिया है वह कफ़्फ़ारा नहीं मगर फ़कीर से दिये हुए वापस नहीं ले सकता (आलमगीरी)

मसअला :– कफ़्फ़ारा उन्हीं मसाकीन को दे सकता है जिन को ज़कात दे सकता है यानी अपने बाप माँ औलाद वग़ैराहुम को जिन को ज़काल नहीं दे सकता कफ़्फ़ारा भी नहीं दे सकता (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– कफ़्फ़ारा–ए–क़सम की क़ीमत मस्जिद में सर्फ़ नहीं कर सकता न मुर्दे के कफ़न में लगा सकता है यानी जहाँ जहाँ ज़कात नहीं ख़र्च कर सकता वहाँ कफ़्फ़ारा की क़ीमत नहीं दी जा सकती(आलमगीरी)

मन्नत का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

وَ مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ

तर्जमा :– " जो कुछ तुम ख़र्च करो या मन्नत मानों अल्लाह उस को जानता है ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं।

और फ़रमाता है।

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَ يَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ۝

तर्जमा :– "नेक लोग वह हैं जो अपनी मन्नत पूरी करते हैं और उस दिन से डरते हैं जिस की बुराई फैली हुई है"।

हदीस न.1 :– इमाम बुख़ारी व इमाम अहमद व हाकिम उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो यह मन्नत माने कि अल्लाह की इताअत करेगा तो उस की इताअत करे यानी मन्नत पूरी करे और जो उस की नाफ़रमानी करने की मन्नत माने तो उस की नाफ़रमानी न करे यानी इस मन्नत को पूरा न करे।

हदीस न.2 :– सहीह मुस्लिम शरीफ़ में इमरान इब्ने हसीन रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुज़ूर ने फ़रमाया उस मन्नत को पूरा न करे जो अल्लाह की नाफ़रमानी के मुतअल्लिक हो और न उस को जिस का बन्दा मालिक नहीं।

हदीस न.3 :– अबू दाऊद साबित इब्ने ज़िहाक रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कहते हैं कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माना में मन्नत मानी थी कि बव्वाना में एक ऊँट की कुर्बानी करेगा हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर होकर उस ने दरयाफ़्त किया इरशाद फ़रमाया क्या वहाँ जाहिलियत के बुतों में से कोई बुत है जिस की परस्तिश की जाती है लोगों ने अर्ज़ की नहीं इरशाद फ़रमाया क्या वहाँ जाहिलियत की ईदों में से कोई ईद है लोगों ने अर्ज़ की नहीं। इरशाद फ़रमाया अपनी मन्नत पूरी कर इस लिए कि मअ़सीयत(यानी गुनाह का काम)के मुतअल्लिक जो मन्नत है उस को पूरा न किया जाये और न वह मन्नत जिस का इन्सान मालिक नहीं।

हदीस न.4 :– नसाई ने इमरान इब्ने हसीन रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते हुए सुना है कि मन्नत की दो क़िस्म है जिस ने ताअत की मन्नत मानी वह अल्लाह के लिए है और उसे पूरा किया जाये और जिस ने गुनाह करने की मन्नत मानी वह शैतान के सबब से है और उसे पूरा न किया जाये।

हदीस न.5 :– सहीह बुख़ारी शरीफ़ में अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुतबा फ़रमा रहे थे कि एक शख़्स को खड़ा हुआ देखा उस के मुतअल्लिक दरयाफ़्त किया लोगों ने अर्ज़ की यह अबू इसराईल है उस ने मन्नत मानी है कि खड़ा रहेगा बैठेगा नहीं और अपने ऊपर साया न करेगा और कलाम न करेगा और रोज़ा रखेगा इरशाद फ़रमाया कि उसे हुक्म कर दो कि कलाम करे और साया में जाये और बैठे और अपने रोज़ा को पूरा करे।

हदीस न.6 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसाई उम्मुलमोमिनीन सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि गुनाह की मन्नत नहीं(यानी उस का पूरा करना नहीं)और उस का कफ़्फ़ारा वही है जो क़सम का कफ़्फ़ारा है।

हदीस न.7 :– अबूदाऊद व इब्ने माजा अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिस ने कोई मन्नत मानी और उसे ज़िक्र न किया (यानी फ़क़त इतना कहा कि मुझ पर नज़र है और किसी चीज़ को मुअय्यन न किया मसलन यह न कहा कि इतने रोज़े रखूँगा या इतनी नमाज़ पढूँगा या इतने फ़कीरों को खिलाऊँगा वग़ैरा वग़ैरा) तो इस का कफ़्फ़ारा क़सम का कफ़्फ़ारा है और जिस ने गुनाह की मन्नत मानी तो उस का कफ़्फ़ारा है और जिस ने ऐसी मन्नत मानी जिस की ताक़त नहीं रखता तो उस का कफ़्फ़ारा क़सम का कफ़्फ़ारा है और जिस ने ऐसी मन्नत मानी जिस की ताक़त रखता

है तो उसे पूरा करे।

हदीस न.8 :– सिहाह सित्ता में इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआला अ़न्हुमा से मरवी कि सईद इब्ने इबादा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने नबी सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम से फ़तवा पूछा कि उन की माँ के ज़िम्मे मन्नत थी और पूरी करने से पहले उन का इन्तिक़ाल हो गया हुज़ूर ने फ़तवा दिया कि यह उसे पूरा करें।

हदीस न.9 :– अबू दाऊद व दारमी जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अ़न्हुमा से रिवायत करते हैं कि एक शख़्स ने फ़तह मक्का के दिन हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह मैंने मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह तआला आप के लिए मक्का को फ़तह करेगा तो मैं बैतुल मुक़द्दस में दो रकअ़त नमाज़ पढूँगा उन्होंने इरशाद फ़रमाया कि यहीं पढ़ लो दोबारा फिर उस ने वही सवाल किया फ़रमाया कि यहीं पढ़ लो फिर सवाल को दोहराया हुज़ूर ने जवाब दिया अब तुम जो चाहो करो।

हदीस न.10 :– अबू दाऊद इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआला अ़न्हुमा से रिवायत करते हैं कि उ़क़बा इब्ने आ़मिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु की बहन ने मन्नत मानी थी कि पैदल हज करेगी और उस में उस की ताक़त न थी हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया कि तेरी बहन की तकलीफ़ से अल्लाह को क्या फ़ायदा है वह सवारी पर हज करे और क़सम का कफ़्फ़ारा दे दे।

हदीस न.11 :– रज़ीन ने मुहम्मद इब्ने मुन्तशर से रिवायत की कि एक शख़्स ने यह मन्नत मानी थी कि अगर ख़ुदा ने दुश्मन से नजात दी तो मैं अपने को क़ुर्बानी कर दूँगा यह सवाल हज़रते अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास के पास पेश हुआ उन्होंने फ़रमाया कि मसरूक़ से पूछो मसरूक़ से दरयाफ़्त किया तो यह जवाब दिया कि अपने को ज़िबह न कर इस लिए कि अगर तू मोमिन है तो मोमिन का क़त्ल करना लाज़िम आयेगा और अगर तू काफ़िर है तो जहन्नम को जाने में जल्दी क्यों करता है एक मेंढा ख़रीद कर ज़िबह कर के मसाकीन को दे दे।

मसाइले फ़िक़्हिया

चूँकि मन्नत की बाज़ सूरतों में भी कफ़्फ़ारा होता है इस लिए उस को यहाँ ज़िक्र किया जाता है उस के बाद क़सम की बाक़ी सूरतें बयान की जायेंगी और उस बयान में जहाँ कफ़्फ़ारा कहा जायेगा उस से वही कफ़्फ़ारा मुराद है जो क़सम तोड़ने में होता है रोज़ा के बयान में हम ने मन्नत की शर्तें लिख दी हैं उन शर्तों को वहाँ से मालूम कर लें।

मसअला :– मन्नत की दो सूरतें हैं एक यह कि उस के करने को किसी चीज़ के होने पर मौकूफ़ रखे मसलन मेरा फ़ुलाँ काम हो जाये तो मैं रोज़ा रखूँगा या ख़ैरात करूँगा दोम यह कि ऐसा न हो मसलन मुझ पर अल्लाह के लिए इतने रोज़े रखने हैं या मैंने इतने रोज़ों की मन्नत मानी पहली सूरत यानी जिस में किसी शय के होने पर उस काम को मुअ़ल्लक़ किया हो उस की दो सूरतें हैं अगर ऐसी चीज़ पर मुअ़ल्लक़ किया कि उस के होने की ख़्वाहिश है मसलन अगर मेरा लड़का तन्दुरुस्त हो जाये या परदेश से आजाये या मैं रोज़गार से लग जाऊँ तो इतने रोज़े रखूँगा या इतना ख़ैरात करूँगा ऐसी सूरत में जब शर्त पाई गई यानी बीमार अच्छा हो गया या लड़का परदेश से आ गया या रोज़गार लग गया तो उतने रोज़े रखना या ख़ैरात करना ज़रूर है यह नहीं हो सकता कि यह काम न करे और उस के एवज़ में कफ़्फ़ारा दे दे और अगर ऐसी शर्त पर मुअ़ल्लक़

किया जिस का होना नहीं चाहता मसलन अगर मैं तुम से बात करूँ या घर आऊँ तो उस पर इतने रोज़े हैं कि उसका मक़सद यह है कि मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगा, तुम से बात न करूँगा ऐसी सूरत में अगर शर्त पाई गई यानी उस के यहाँ गया या उस से बात की तो इख़्तियार है कि जितने रोज़े कहे थे वह रख ले या कफ़्फ़ारा दे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मन्नत में ऐसी शर्त ज़िक्र की जिस का करना गुनाह है और वह शख़्स बदकार है जिस से मालूम होता है कि उस का क़स्द उस गुनाह के करने का है और फिर उस गुनाह को कर लिया तो मन्नत को पूरा करना ज़रूर है और वह शख़्स नेक बख़्त है जिस से मालूम होता है कि यह मन्नत उस गुनाह से बचने के लिए है मगर वह गुनाह उस से हो गया तो इख़्तियार है कि मन्नत पूरी करे या कफ़्फ़ारा दे (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जिस मन्नत में शर्त हो उस का हुक्म तो मालूम हो चुका कि एक सूरत में मन्नत पूरी करना है और एक सूरत में इख़्तियार है कि मन्नत पूरी करे या कफ़्फ़ारा दे और अगर शर्त का ज़िक्र न हो तो मन्नत का पूरा करना ज़रूरी है हज या उमरा या रोज़ा, नमाज़ या ख़ैरात या एअ्तिकाफ़ जिस की मन्नत मानी हो वह करे (आलमगीरी)

मसअला : – मन्नत में अगर किसी चीज़ को मुअ़य्यन न किया मसलन कहा अगर मेरा यह काम हो जाये तो मुझ पर मन्नत है यह नहीं कहा कि नमाज़ या रोज़ा या हज वग़ैरहा तो अगर दिल में किसी चीज़ को मुअ़य्यन किया हो तो जो नियत की वह करे और अगर दिल में भी कुछ मुक़र्रर न किया तो कफ़्फ़ारा दे। (बहर)

मसअला : – मन्नत मानी और ज़बान से मन्नत को मुअ़य्यन न किया मगर दिल में रोज़ा का इरादा है तो जितने रोज़ों का इरादा है उतने रख ले और अगर रोज़ा का इरादा है मगर यह मुक़र्रर नहीं किया कि कितने रोज़े तो तीन रोज़े रखे और अगर सदक़ा की नियत की और मुक़र्रर न किया तो दस मिसकीन को बक़द्र सदक़ा फ़ित्र के दे यूँही अगर फ़क़ीरों के खिलाने की मन्नत मानी तो जितने फ़क़ीर खिलाने की नियत की उतनों को खिलाये और तअ्दाद उस वक़्त दिल में भी न हो तो दस फ़क़ीर खिलाये और दोनों वक़्त खिलाने की नियत थी तो दोनों वक़्त खिलाये और एक वक़्त का इरादा है तो एक वक़्त और कुछ इरादा न हो तो दोनों वक़्त खिलाये या सदक़ा फ़ित्र की मिक़दार उन को दे और फ़क़ीर खिलाने की मन्नत मानी तो एक फ़क़ीर को खिलाये या सदक़ा–ए–फ़ित्र की मिक़दार देदे (बहर आलमगीरी वग़ैरहुमा)

मसअला : – यह मन्नत मानी कि अगर बीमार अच्छा हो जाये तो मैं उन लोगों को खाना खिलाऊँगा और वह लोग मालदार हों तो मन्नत सहीह यानी उस का पूरा करना उस पर ज़रूर नहीं (बहर)

मसअला : – नमाज़ पढ़ने की मन्नत मानी और रकअ़तों को मुअ़य्यन न किया तो दो रकअ़त पढ़नी ज़रूरी है और एक या आधी रकअ़त की मन्नत मानी जब भी दो पढ़नी ज़रूर है और तीन रकअ़त की मन्नत है तो चार पढ़े और पाँच की तो छः पढ़े (आलमगीरी)

मसअला : – आठ रकअ़त ज़ोहर की मन्नत मानी तो आठ वाजिब न होंगी बल्कि चार ही पढ़नी पड़ेंगी और अगर यह कहा कि मुझे अल्लाह तआला दो सौ रूपये दे दे तो मुझपर उन के दस रूपये ज़कात है तो दस रूपये ज़क़ात के फ़र्ज़ न होंगे बल्कि वही पाँच ही फ़र्ज़ रहेंगे (आलमगीरी)

मसअला :– सौ रूपये ख़ैरात करने की मन्नत मानी और उस के पास उस वक़्त इतने नहीं हैं तो

जितने हैं उतने ही की ख़ैरात वाजिब है हाँ अगर उस के पास असबाब हैं कि बेचे तो सौ रूपये होजायेंगे तो सौ की ख़ैरात ज़रूर है और असबाब बेचने पर भी सौ रुपये न होंगें तो जो कुछ नक़द है वह और तमाम सामान की जो कुछ क़ीमत हो वह सब ख़ैरात कर दे मन्नत पूरी होगई और अगर उसके पास कुछ न हो तो कुछ वाजिब नहीं(आलमगीरी)

मसअला : – यह मन्नत मानी कि जुमआ के दिन उतने रुपये फ़ुलाँ फ़क़ीर को ख़ैरात दूँगा और जुमेरात ही को ख़ैरात कर दिये या उसके सिवा किसी दूसरे फ़क़ीर को दे दिये मन्नत पूरी हो गई यानी ख़ास उसी फ़कीर को देना ज़रूरी नहीं न जुमआ के दिन देना ज़रूर यूँहीं अगर मक्का मुअ़ज़्ज़मा या मदीना तय्यबा के फ़ुक़रा पर ख़ैरात करने की मन्नत मानी तो वहीं के फ़ुक़रा को देना ज़रूरी नहीं बल्कि यहाँ ख़ैरात कर देने से भी मन्नत पूरी हो जायेगी यूँहीं अगर मन्नत कहा कि यह रुपये फ़क़ीरों पर ख़ैरात करूँगा तो ख़ास उन्ही रुपयों का ख़ैरात करना ज़रूर नहीं उतने ही दूसरे रुपये देदे मन्नत पूरी हो गई (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला :– जुमआ के दिन नमाज़ पढ़ने की मन्नत मानी और जुमेरात को पढ़ ली मन्नत पूरी हो गई यानी जिस मन्नत में शर्त न हो उस वक़्त के तअ़य्युन का एअ़तिबार नहीं यानी जो वक़्त मुक़र्रर किया है उस से पहले भी अदा कर सकता है और जिसमें शर्त है उस में ज़रूर है कि शर्त पाई जाये। बग़ैर शर्त पाई जाने के अदा किया तो मन्नत पूरी न हुई शर्त पाई जाने पर फिर करना पड़ेगा मसलन कहा अगर बीमार अच्छा हो जाये तो दस रुपये ख़ैरात करूँगा और अच्छा होने से पहले ही ख़ैरात कर दिये तो मन्नत पूरी न हुई अच्छे होने के बाद फिर करना पड़ेगा बाक़ी जगह और रुपये और फ़क़ीरों की तख़सीस दोनों में बेकार है ख़्वाह शर्त हो या न हो (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अगर मेरा यह काम हो जाये तो दस रुपये की रोटी ख़ैरात करूँगा तो रोटयों का ख़ैरात करना लाज़िम नहीं यानी कोई दूसरी चीज़ ग़ल्ला वग़ैरा दस रुपये का ख़ैरात कर सकता है और यह भी हो सकता है कि दस रुपये नक़द देदे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला : – दस रुपये दस मिस्कीन पर ख़ैरात करने की मन्नत मानी और एक ही फ़क़ीर को दसों रुपये दे दिये मन्नत पूरी हो गई (आलमगीरी)

मसअला :– यह कहा कि मुझ पर अल्लाह के लिए दस मिस्कीन का खाना है तो अगर दस मिस्कीन को देने की नियत न हो तो इतना खाना जो दस के लिए काफ़ी हो एक मिस्कीन को देने से मन्नत पूरी हो जायेगी (आलमगीरी)

मसअला :– ऊँट या गाय ज़िबह कर के उस के गोश्त को ख़ैरात करने की मन्नत मानी और उसकी जगह सात बकरियाँ ज़बह कर के गोश्त ख़ैरात कर दिया मन्नत पूरी हो गई और यह गोश्त मालदार को नहीं दे सकता देगा तो इतना ख़ैरात करना पड़ेगा वरना मन्नत पूरी न होगी(आलमगीरी)

मसअला :– अपनी औलाद को ज़िबह करने की मन्नत मानी तो एक बकरी ज़िबह कर दे मन्नत पूरी हो जायेगी और अगर बेटे को मार डालने की मन्नत मानी तो मन्नत सहीह न हुई और अगर ख़ुद अपने को या अपने बाप, माँ, दादा दादी या ग़ुलाम को ज़िबह करने की मन्नत मानी तो यह मन्नत न हुई और उसके ज़िम्मे कुछ लाज़िम नहीं (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअला : – मस्जिद में चिराग़ जलाने या ताक़ भरने या फ़ुलाँ बुज़ुर्ग के मज़ार पर चादर चढ़ाने या ग्यारहवीं की नियाज़ दिलाने या ग़ौसे आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु का तोशा या शाह अब्दुल हक़ रदियल्लाहु तआला अन्हु का तोशा करने या हज़रत जलाल बुख़ारी का कूँडा करने या मुहर्रम

की नियाज़ या शरबत या सबील लगाने या मीलाद शरीफ़ करने की मन्नत मानी तो यह शरई मन्नत नहीं मगर यह काम मना नहीं हैं करे तो अच्छा है हाँ अलबत्ता इसका ख़्याल रहे कि कोई बात ख़िलाफ़े शरअ् उस के साथ न मिलाये मसलन ताक़ भरने में रत जगा होता है जिस में कुंबा और रिश्ते की औरतें इकठ्ठा हो कर गाती बजाती हैं कि यह काम हराम हैं या चादर चढ़ाने के लिए बाज़ लोग ताशे बाजे के साथ जाते हैं यह नाजाइज़ है या मस्जिद में चिराग़ जलाने में बाज़ लोग आटे का चिराग़ जलाते हैं यह ख़्वामख़्वाह माल ज़ाइअ् करना है और नाजाइज़ है मिट्टी का चिराग़ काफ़ी है और घी की भी ज़रूरत नहीं मक़सूद रौशनी है वह तेल से हासिल है रहा यह कि मीलाद शरीफ़ में फ़र्श व रौशनी का अच्छा इन्तिज़ाम करना और मिठाई तक़सीम करना या लोगों को बुलावा देना और इस के लिए तारीख़ मुक़र्रर करना और पढ़ने वालों का खुश इल्हानी(अच्छीआवाज़) से पढ़ना यह सब बातें जाइज़ हैं अल्बत्ता ग़लत और झूटी रिवायतों का पढ़ना मनअ् है पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों गुनाहगार होंगे।

मसअ्ला :— अ़लम और तअ़ज़िया बनाने और पैक बनने और मुहर्रम में बच्चों को फ़क़ीर बनाने और बधी पहनाने और मरसिया की मज्लिस करने और तअ़ज़ियों पर नियाज़ दिलवाने वग़ैरा ख़ुराफ़ात जो रवाफ़िज़ और तअ़ज़िया दार लोग करते हैं उन की मन्नत सख़्त जिहालत है ऐसी मन्नत माननी न चाहिए और मानी हो तो पूरी न करे और उन सब से बद तर शैख़ सद्दू का मुर्ग़ा और कड़ाही है।

मसअ्ला :— बाज़ जाहिल औरतें लड़कों के कान, नाक, छिदवाने और बच्चों की चोटियाँ रखने की मन्नत मानती हैं या और तरह तरह की ऐसी मन्नतें मानती हैं जिन का जवाज़ किसी तरह साबित नहीं अव्वलन ऐसी वाहियात मन्नतों से बचें और मानी हों तो पूरी न करें और शरीअ़त के मुआ़मला में अपने लग्व ख़्यालात को दख़ल न दें न यह कि हमारे बड़े बूढ़े यूँहीं करते चले आये हैं और यह कि पूरी न करेंगे तो बच्चा मरजायेगा बच्चा मरने वाला होगा तो यह नाजाइज़ मन्नतें बचा न लेंगी मन्नत माना करो तो नेक काम नमाज़, रोज़ा, ख़ैरात, दुरूद शरीफ़, कलिमा शरीफ़, कुर्आन मजीद, पढ़ने, फ़क़ीरों को खाना देने, कपड़ा पहनाने वग़ैरा की मन्नत मानो और अपने यहाँ के किसी सुन्नी आ़लिम से दरयाफ़्त भी कर लो कि यह मन्नत ठीक है या नहीं वहाबी से न पूछना कि वह गुमराह बे दीन हैं वह सहीह मसअ्ला न बतायेगा बल्कि एच पेच से जाइज़ अम्र को नाजाइज़ कह देगा।

मसअ्ला :— मन्नत या क़सम में इन्शाअल्लाह कहा तो उस का पूरा करना वाजिब नहीं बशर्ते कि इन्शाअल्लाह का लफ़्ज़ उस कलाम से मुत्तसिल (मिला हुआ) हो और अगर फ़ासिला हो गया मसलन क़सम खाकर चुप हो गया या दरमियान में कुछ और बात की फिर इन्शाअल्लाह कहा तो क़सम बातिल न हुई यूँही हर वह काम जो कलाम करने से होता है मसलन तलाक़, इक़रार, वग़ैरहुमा यह सब इन्शाअल्लाह कह देने से बातिल हो जाते हैं हाँ अगर यूँहीं कहा कि फ़ुलाँ चीज़ अगर ख़ुदा चाहे तो बेच दो तो यहाँ उस को बेचने का इख़्तियार रहेगा और वकालत सहीह है या यूँ कहा कि मेरे मरने के बाद मेरा इतना माल इन्शाअल्लाह ख़ैरात कर देना तो वसीयत सहीह है और जो काम दिल से मुतअ़ल्लिक़ हैं वह बातिल नहीं होते मसलन नियत की कि कल इन्शाअल्लाह रोज़ा रखूँगा तो यह नियत दुरूस्त है (दुर्रे मुख़्तार)

मकान में जाने और रहने वग़ैरा के मुतअ़ल्लिक़ क़सम का बयान

यहाँ एक क़ायदा याद रखना चाहिए जिस का क़सम में हर जगह लिहाज़ ज़रूरी है वह यह कि क़सम के तमाम अल्फ़ाज़ से वह मअ़्ना लिए जायेंगे जिन में अहले उ़र्फ़ इस्तिमाल करते हों

मसलन किसी ने क़सम खाई कि किसी मकान में नहीं जायेगा और मस्जिद में या कअ्बा मुअ़ज़्ज़मा में गया तो क़सम नहीं टूटी अगर्चे यह भी मकान हैं यूहीं हम्माम में जाने से भी क़सम नहीं टूटेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम में अल्फ़ाज़ का लिहाज़ होगा इस का लिहाज़ न होगा कि उस क़सम से ग़र्ज़ क्या है यानी उन लफ़्ज़ों के बोल चाल में जो मअ्ना हैं वह मुराद लिए जायेंगे क़सम खाने वाले की नियत और मक़सूद का एअ्तिबार न होगा मसलन क़सम खाई कि फुलाँ के लिए एक पैसा की कोई चीज़ नहीं ख़रीदूँगा और एक रुपया की ख़रीदी तो क़सम नहीं टूटी हालाँकि उस कलाम से मक़सद यह हुआ करता है कि न पैसे की खरीदूँगा न रुपया की मगर चुँकि लफ़्ज़ से यह नहीं समझा जाता लिहाज़ा उस का एअ्तिबार नहीं या क़सम खाई कि दरवाज़ा से बाहर न जाऊँगा और दीवार कूद कर या सीढ़ी लगा कर बाहर चला गया तो क़सम नहीं टूटी अगर्चे उस से मुराद यह है कि घर से बाहर न जाऊँगा (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि उस घर में न जाऊँगा फिर वह मकान बिलकुल गिर गया अब उस में गया तो नहीं टूटी यूंहीं अगर गिरने के बाद फिर इमारत बनाई गई और अब गया जब भी क़सम नहीं टूटी और अगर सिर्फ़ छत गिरी है दीवारें बदस्तूर बाक़ी हैं तो क़सम टूट गई (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि उस मस्जिद में न जाऊँगा फिर वह मस्जिद शहीद हो गई और गया तो क़सम टूट गई यूँहीं अगर गिरने के बाद फिर से बनी तो जाने से क़सम टूट जायेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि उस मस्जिद में न जाऊँगा और उस मस्जिद में कुछ इज़ाफ़ा किया गया और यह शख़्स उस हिस्सा में गया जो अब बढ़ाया गया है तो क़सम नहीं टूटी और अगर यह कहा कि फुलाँ महल्ला की मस्जिद में न जाऊँगा या वह मस्जिद जिन लोगों के नाम से मशहूर है उस नाम को ज़िक्र किया तो उस हिस्सा में जो बढ़ाया गया है जाने से भी क़सम टूट जायेगी(आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि उस मकान में नहीं जायेगा और वह मकान बढ़ा दिया गया तो उस हिस्सा में जाने से क़सम नहीं टूटी और अगर यह कहा कि फुलाँ के मकान में नहीं जायेगा तो टूट जायेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि उस मकान में न जाऊँगा फिर उस मकान की छत या दीवार पर किसी दूसरे मकान पर से या सीढ़ी लगा कर चढ़ गया तो क़सम नहीं टूटी कि बोल चाल में उसे मकान में जाना न कहेंगे यूँहीं अगर मकान के बाहर दरख़्त है उस पर चढ़ा और जिस शाख़ पर है वह उस मकान की सीध में है कि अगर गिरे तो उस मकान में गिरेगा तो इस शाख़ पर चढ़ने से भी क़सम नहीं टूटी यूँही किसी मस्जिद में न जाने की क़सम खाई और उस की दीवार या छत पर चढ़ा तो क़सम नहीं टूटी (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि उस मकान में नहीं जाऊँगा और उस के नीचे तह ख़ाना है जिस से घर वाले नफ़अ् उठाते हैं तो तह ख़ाना में जाने से क़सम नहीं टूटेगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– दो मकान हैं और उन दोनों पर एक बाला ख़ाना है अगर बाला ख़ाना का रास्ता इस मकान से हो तो इस में शुमार होगा और अगर रास्ता दूसरे मकान से है तो उस में शुमार किया जायेगा(आलमगीरी)

मसअ्ला :– मकान में न जाने की क़सम खाई तो जिस तरह भी उस मकान में जाये क़सम टूट जायेगी ख़्वाह दरवाज़ा से दाख़िल हो या सीढ़ी लगा कर दीवार से उतरे और अगर क़सम खाई कि दरवाज़ा से नहीं जायेगा तो सीढ़ी लगाकर दीवार से उतरने में क़सम नहीं टूटी यूँहीं अगर किसी

हमे बड़ी मुसर्रत हो रही है कि अल्लाह त'आला और उसके हबीब सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम के हुक्म फ़ज़्ल-ओ-करम से और बुज़ुर्गाने दीन सिलसिला-ए-क़ादिरिया बिलख़ुसूस पिराने पीर दस्तगीर हुज़ूर ग़ौस-ए-आज़म शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रादिअल्लाहु त'आला अन्हू के फ़ैज़ से क़िताब बहार-ए-शरीअत (हिस्सा 01 से 10) हिंदी में पीडीएफ [PDF] में आप की खिदमत में पेश की जा रही है।

ज़माना-ए- क़दीम से अवमुन्नास की इस्लाहे हाल और हिदायते उख़रवी व दुनयवी के लिए हक़ सदाक़त के जाम की फ़राहमी की जाती रही हैं और ये इलतेज़ाम ख़ालिक़-ए-क़ायनात जल्ला जलालहु ने ब अहसान अपनी मख़लूक़ के लिए फ़रमाया है। अम्बिया व मुर्सलीन के बेहतरीन दौर के बाद उसने यह ख़िदमत अपने मुक़र्रबीन रिज़वानुल्लाह त'आला अलैहिम अजमईन के सुपुर्द की और यह सिलसिला अला हालही जारी व सारि है।

मज़हब-ए-इस्लाम अल्लाह त'आला का पसंदीदा दीन है । जिंदगी का कोई ऐसा शोबा नही जिसके लिए इस्लाम ने हमे क़ानून न दिया हो ।

आज जिस दौर से हम गुज़र रहे है हमारा मुस्लिम तबका उर्दू की तरफ ध्यान नही दे रहा है और नई नस्ल तो बिल्कुल ही उर्दू से नावाक़िफ़ होती जा रही है । नतीजे के तौर पर दीनी और मज़हबी दिलचस्पियाँ कम हो रही है और हम अपने हाल को ग़ैर मुंज़बित तरीके पे छोड़े रहते है ।

लिहाज़ा ये किताब हिंदी में लिखी गई है और आप सब की आसानी के लिए हम ने इस किताब को पीडीएफ फ़ाइल में आप की ख़िदमत में पेश किया है।
आप सब से हमारी गुज़ारिश है कि अपनी मसरूफ ज़िन्दगी में से रोज़ाना वक़्त निकाल कर बुज़ुर्गो की तस्नीफ़ करदा किताबो को मुताला में रखें , इंशा अल्लाह त'आला दीन और दुनिया दोनो में मक़बूल होंगे।

दुआओं के तलबगार

वसीम अहमद रज़ा खान और साथी

+91-8109613336

जानिब की दीवार टूट गई है वहाँ से मकान के अन्दर गया जब भी क़सम नहीं टूटी हाँ अगर दरवाज़ा बनाने के लिए दीवार तोड़ी गई है। उस में से गया तो टूट गई अगर यूँ क़सम खाई कि उस दरवाज़ा से न जायेगा तो जो दरवाज़ा बाद में बनाया या पहले ही से कोई दूसरा दरवाज़ा था उस से गया तो क़सम नहीं टूटी (दुर्रे मुख़्तार, तहतावी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि मकान में न जायेगा और उस की चौखट पर खड़ा हुआ अगर वह चौखट इस तरह है कि दरवाज़ा बन्द करने पर मकान से बाहर हो जैसा उमूमन मकान के बैरूनी दरवाज़े होते हैं तो क़सम नहीं टूटी और अगर दरवाज़ा बन्द करने से चौखट अन्दर है तो क़सम टूट गई ग़र्ज़ यह कि मकान में जाने के यह मअ्ना हैं कि ऐसी जगह पहुँच जाये कि दरवाज़ा बन्द करने के बाद वह जगह अन्दर हो (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– एक क़दम मकान के अन्दर रखा और दूसरा बाहर है या चौखट पर है तो क़सम नही टूटी अगर्चे अन्दर नीचा हो यूँहीं अगर क़दम बाहर हों और सर अन्दर या हाथ बढ़ा कर कोई चीज़ मकान में से उठा ली तो क़सम नहीं टूटी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– सूरते मज़कूरा में अगर चित या पट या करवट से लेट कर मकान में गया अगर अकसर हिस्सा बदन का अन्दर है तो क़सम टूट गई वरना नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई थी कि मकान में न जायेगा और दौड़ता हुआ आ रहा था दरवाज़ा पर पहुँचकर फ़िसला और मकान के अन्दर जा रहा या आन्धी के धक्के से बे इख़्तियार मकान में जा रहा या कोई शख़्स ज़बरदस्ती पकड़ कर मकान के अन्दर ले गया तो इस सब सूरतों में क़सम नहीं टूटी और अगर उस के हुक्म से कोई शख़्स उसे उठा कर मकान में लाया या सवारी पर आया तो टूट गई (जौहरा)(आलमगीरी)मगर पहली सूरत में कि बग़ैर इख़्तियार जाना हुआ है उस से क़सम अभी उस के ज़िम्मे बाक़ी है यानी अगर मकान से निकल कर फिर खुद जाये तो क़सम टूट जायेगी(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि उस मकान में दाख़िल न होगा और क़सम के वक़्त वह उस मकान अन्दर है तो जब तक मकान के अन्दर है क़सम नहीं टूटी मकान से बाहर आने के बाद फिर जायेगा तो टूट जायेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर क़सम खाई कि इस घर से बाहर न निकलेगा और चौखट पर खड़ा हुआ अगर चौखट दरवाज़ा से बाहर है तो क़सम गई और अन्दर है तो नहीं यूँही अगर एक पाँव बाहर है दूसरा अन्दर तो नहीं टूटी या मकान के अन्दर दरख़्त है उस पर चढ़ा और जिस शाख़ पर है वह शाख़ मकान से बाहर है जब भी क़सम नहीं टूटी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने दूसरे से कहा ख़ुदा की क़सम तेरे घर आज कोई नहीं आयेगा तो घर वालों के सिवा अगर दूसरा कोई आया यह क़सम खाने वाला खुद उस के यहाँ गया तो क़सम टूट गई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि तेरे घर में क़दम न रखूँगा उस से मुराद घर में दाख़िल होना है न कि सिर्फ़ क़दम रखना लिहाज़ा अगर सवारी पर मकान के अन्दर गया या जूते पहने हुए जब भी क़सम टूट गई और अगर दरवाज़ा के बाहर लेट कर सिर्फ़ पाँव मकान के अन्दर कर दिये तो क़सम नहीं टूटी (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि मस्जिद से न निकलेगा अगर खुद निकला या उस ने किसी को हुक्म

दिया वह उसे उठा कर मस्जिद से बाहर लाया तो क़सम टूट गई और अगर ज़बरदस्ती किसी ने मस्जिद से खींचकर बाहर कर दिया तो नहीं टूटी अगर्चे दिल में निकालने पर खुश हो **ज़बरदस्ती** के मअ्ना यहाँ सिर्फ़ इतने हैं कि निकलना अपने इख़्तियार से न हो यानी कोई हाथ पकड़ कर या उठा कर बाहर कर दे अगर्चे यह न जाना चाहता तो वह बाहर न कर सकता हो और अगर उस ने धमकी दी और डर कर यह खुद निकल गया तो क़सम टूट गई और अगर ज़बर दस्ती निकालने के बाद फिर मस्जिद में गया और अपने आप बाहर हुआ तो क़सम टूट गई और मकान से न निकलने की क़सम खाई जब भी यही अहकाम हैं (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार, आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि मेरी औरत फुलाँ शख़्स की शादी में नहीं जायेगी और औरत उस के यहाँ शादी से क़ब्ल गई थी और शादी में भी रही तो क़सम न टूटी कि शादी में जाना न हुआ (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि तुम्हारे पास आऊँगा तो उस के मकान या उस की दुकान पर जाना ज़रूर है ख़्वाह मुलाक़ात हो या न हो उस की मस्जिद में जाना काफ़ी नहीं और अगर उस के मकान या दुकान पर न गया यहाँ तक कि उन में का एक मर गया तो उस की ज़िन्दगी के आख़िर वक़्त में क़सम टूटेगी कि अब उसके पास आना नहीं हो सकता (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि मैं तुम्हारे पास कल आऊँगा अगर आने पर क़ादिर हो तो उस से मुराद यह है कि बीमार न हुआ या कोई मानेअ् मसलन जुनून या निस्यान या बादशाह की मुमानअ्त वग़ैरहा पेश न आये तो आऊँगा लिहाज़ा बिला वजह न आया तो क़सम टूट गई (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औरत से कहा अगर मेरी इजाज़त के बग़ैर घर से निकली तो तुझे तलाक़ है तो हर बार निकलने के लिए इजाज़त की ज़रूरत है और इजाज़त यूँही होगी कि औरत उसे सुने और समझे अगर उस ने इजाज़त दी मगर औरत ने नहीं सुना और चली गई तो तलाक़ हो गई यूँही अगर उस ने ऐसी ज़बान में इजाज़त दी कि औरत उस को समझती नहीं मसलन अरबी या फ़ारिसी में कहा और औरत अरबी या फ़ारिसी नहीं जानती तो तलाक़ होगई यूही अगर इजाज़त दी मगर किसी क़रीना से मालूम होता है कि इजाज़त मुराद नहीं है तो इजाज़त नहीं मसलन गुस्सा में झिड़कने के लिए कहा जा, इजाज़त नहीं या कहा जा मगर गई तो खुदा तेरा भला न करेगा तो यह इजाज़त नहीं या जाने के लिए खड़ी हुई उस ने लोगों से कहा छोड़ो उसे जाने दो, तो इजाज़त न हुई और दरवाज़ा पर फ़क़ीर बोला उस ने कहा फ़क़ीर को टुकड़ा देदे अगर दरवाज़ा से निकले बग़ैर नहीं देसकती तो निकलने की इजाज़त है वरना नहीं और किसी रिश्तादार के यहाँ जाने की इजाज़त दी मगर उस वक़्त न गई दूसरे वक़्त गई तो तलाक़ हो गई और अगर माँ के यहाँ जाने के लिए इजाज़त ली और भाई के यहाँ चली गई तो तलाक़ न हुई और अगर औरत से कहा अगर मेरी खुशी के बग़ैर निकली तो तुझ को तलाक़ है तो इस में सुनने और समझने की ज़रूरत नहीं और अगर कहा बग़ैर मेरे जाने हुए गई तो तलाक़ है फिर औरत निकली और शौहर ने निकलते देखा या इजाज़त दी मगर उस वक़्त न गई बाद में गई तो तलाक़ न हुई (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– उस के मकान में कोई रहता है उस से कहा खुदा की क़सम तू बग़ैर मेरी इजाज़त के घर से नहीं निकलेगा तो हर बार निकलने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं पहली बार इजाज़त ले ली क़सम पूरी होगई हर बार इजाज़त ज़ौजा के लिए दरकार है और ज़ौजा को भी अगर एक बार इजाज़ते आम देदी कि मैं तुझे इजाज़त देता हूँ जब कभी तू चाहे जाये तो यह इजाज़त हर बार के के लिए काफ़ी है (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– क़सम खाई कि बग़ैर इजाज़ते ज़ैद मैं नहीं निकलूँगा और ज़ैद मर गया तो क़सम जाती रही (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– औरत से कहा ख़ुदा की क़सम तू बग़ैर मेरी इजाज़त के नहीं निकलेगी तो हर बार इजाज़त की ज़रूरत उसी वक़्त तक है कि औरत उस के निकाह में है निकाह जाते रहने के बाद अब इजाज़त की ज़रूरत नहीं (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अगर मेरी इजाज़त के बग़ैर निकली तो तुझ को तलाक़ है और औरत बग़ैर इजाज़त निकली तो एक तलाक़ हो गई फिर अब इजाज़त लेने की ज़रूरत न रही कि क़सम पूरी हो गई लिहाज़ा दोबारा निकली तो अब फिर तलाक़ न पड़ेगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला : – क़सम खाई कि जनाज़ा के सिवा किसी काम के लिए घर से न निकलूँगा और जनाज़ा के लिए निकला चाहे जनाज़ा के साथ गया या न गया तो क़सम नहीं टूटी अगर्चे घर से निकलने के बाद और काम भी किए (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ मुहल्ला में न जायेगा और ऐसे मकान में गया जिस में दो दरवाज़े हैं एक दरवाज़ा उस महल्ला में है जिस की निस्बत क़सम खाई और दूसरा दूसरा मुहल्ला में तो क़सम टूट गई (आलमगीरी)

मसअला :– क़सम खाई कि लखनऊ नहीं जाऊँगा तो लखनऊ के ज़िलअ् में जो क़सबात या गाँव हैं उन में जाने से क़सम नहीं टूटी यूँहीं अगर क़सम खाई कि फ़ुलाँ गाँव में न जाऊँगा तो आबादी में जाने से क़सम टूटेगी उस गाँव के मुतअल्लिक़ जो आराज़ी(ज़मीन)बस्ती से बाहर है वहाँ जाने से क़सम नहीं टूटी और अगर किसी मुल्क की निस्बत क़सम खाई मसलन पंजाब, बंगाल, अवध, रोहेल खंड, वग़ैरहा तो गाँवों में जाने से भी क़सम टूट जायेगी (आलमगीरी)

मसअला :– क़सम खाई कि देहली नहीं जाऊँगा और पंजाब के इरादे से घर से निकला और देहली रास्ता में पड़ती है अगर अपने शहर से निकलते वक़्त नियत थी कि देहली होता हुआ पंजाब जाऊँगा तो क़सम टूट गई और अगर यह नियत थी कि देहली न जाऊँगा मगर ऐसी जगह पहुँचकर देहली हो कर जाने का इरादा हुआ कि वहाँ से नमाज़ में क़स्र शुरूअ् हो गया तो क़सम नहीं टूटी और अगर क़सम में यह नियत थी कि ख़ास देहली न जाऊँगा और पंजाब जाने के लिए निकला और देहली हो कर जाने का इरादा किया तो क़सम नहीं टूटी (आलमगीरी)

मसअला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ के घर नहीं जाऊँगा तो जिस घर में वह रहता है उस में जाने से क़सम टूट गई अगर्चे वह मकान उसका न हो बल्कि किराये पर या आरियतन उस में रहता हो यूंही जो मकान उस की मिल्क में है अगर्चे उस में रहता न हो उस में जाने से भी क़सम टूट जायेगी (आलमगीरी)

मसअला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ की दुकान में नहीं जाऊँगा तो अगर उस शख़्स की दो दुकानें है एक में ख़ुद बैठता है और एक किराये पर देदी है तो किराये वाली में जाने से क़सम नहीं टूटी और अगर एक ही दुकान है जिस में वह बैठता भी नहीं है बल्कि किराये पर देदी है तो अब उस में जाने से क़सम टूट जायेगी कि उस सूरत में दुकान से मुराद सुकूनत की जगह नहीं बल्कि वह जो उस की मिल्क में है (आलमगीरी)

मसअला : – क़सम खाई कि ज़ैद के मकान में नहीं जायेगा और ऐसे मकान में गया जो ज़ैद और दूसरे की शिरकत में है अगर ज़ैद उस मकान में रहता है तो क़सम टूट गई और रहता न हो तो नहीं (आलमगीरी)

मसअला :– एक शख़्स किसी मकान में बैठा हुआ है और क़सम खाई कि उस मकान में अब नही आऊँगा तो उस मकान के किसी हिस्सा में दाख़िल होने से क़सम टूट जायेगी ख़ास वही दालान जिस में बैठा हुआ है मुराद नहीं अगर्चे वह कहे कि मेरी मुराद यह दालान थी हाँ अगर दालान या कमरा कहा तो ख़ास वही कमरा मुराद होगा जिस में वह बैठा हुआ है (बहर,आलमगीरी)

मसअला :– क़सम खाई कि ज़ैद के मकान में नहीं जायेगा और ज़ैद के दो मकान हैं एक में रहता है और दूसरा गोदाम है यानी उस में तिजारत के सामान रखता है ख़ुद ज़ैद की उस में सुकूनत नहीं तो उस दूसरे मकान में जाने से क़सम न टूटेगी हाँ अगर किसी क़रीना से यह बात मालूम हो कि यह दूसरा मकान भी मुराद है तो उस में दाख़िल होने से भी क़सम टूट जायेगी (आलमगीरी)

मसअला :– क़सम खाई कि ज़ैद के ख़रीदे हुए मकान में नहीं जायेगा और ज़ैद ने एक मकान ख़रीदा फिर उस से इस क़सम खाने वाले ने ख़रीद लिया तो उस में जाने से क़सम नहीं टूटेगी और अगर ज़ैद ने ख़रीद कर उस को हिबा कर दिया तो जाने से क़सम टूट जायेगी(ख़ानिया बहर)

मसअला :– क़सम खाई कि ज़ैद के मकान में नहीं जायेगा और ज़ैद ने आधा मकान बेचडाला तो अगर अब तक ज़ैद उस मकान में रहता है तो जाने से क़सम टूट जायेगी और नहीं तो नहीं और अगर क़सम खाई कि अपनी ज़ौजा के मकान में नहीं जाऊँगा और औरत ने मकान बेचडाला और ख़रीदार से शौहर ने वह मकान किराये पर लिया अगर क़सम खाना औरत की वजह से था तो अब जाने से क़सम नहीं टूटी और अगर उस मकान की ना पसन्दी की वजह से था तो टूट गई(आलमगीरी)

मसअला :– क़सम खाई कि ज़ैद के मकान में नहीं जायेगा और ज़ैद ने लोगों को खाना खिलाने के लिए किसी से मकान आरियतन लिया तो उस में जाने से क़सम नहीं टुटेगी हाँ अगर मालिक मकान ने अपना कुल सामान वहाँ से निकाल लिया और ज़ैद अस्बाबे सुकूनत (सामान)उस मकान में ले गया और ज़ैद का ख़ुद कोई मकान नहीं बल्कि अपनी ज़ौजा के मकान में रहता है तो उस मकान में जाने से क़सम टूट जायेगी और अगर ज़ैद का ख़ुद भी कोई मकान है तो औरत के मकान में जाने से क़सम नहीं टूटी यूँहीं अगर क़सम खाई कि फ़ुलाँ औरत के मकान में नहीं जायेगा और औरत का ख़ुद कोई मकान नहीं है बल्कि शौहर के मकान में रहती है तो इस मकान में जाने से क़सम टूट जायेगी और ख़ुद औरत के भी मकान है तो शौहर वाले मकान में जाने से क़सम नहीं टूटेगी (आलमगीरी)

मसअला :– क़सम खाई कि हम्माम में नहाने के लिए नहीं जायेगा तो अगर मालिके हम्माम से मुलाक़ात करने के लिए गया फिर नहा भी लिया तो क़सम नहीं टूटी (ख़ानिया)

मसअला :– क़सम खाई कि मैं फ़ुलाँ शख़्स को इस मकान में आने से रोकूँगा वह शख़्स उस मकान में जाना चाहता था उस ने रोक दिया क़सम पूरी होगई अब अगर फिर कभी उस को जाते हुए देखा और मनअ़ न किया तो उस पर कफ़्फ़ारा वग़ैरा कुछ नहीं (बहर)

मसअला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ को इस घर में नहीं आने दूँगा अगर वह मकान क़सम खाने वाले की मिल्क में नहीं है तो ज़बान से मनअ़ करना काफ़ी है और मिल्क है तो ज़बान से और हाथ पाँव से मनअ़ करना ज़रूर है वरना क़सम टूट जायेगी (बहर)

मसअला : – ज़ैद व अ़म्र सफ़र में हैं ज़ैद ने क़सम खाई कि अ़म्र के मकान में नहीं जाऊँगा अ़म्र के डेरे और ख़ेमे या जिस मकान में उतरा है अगर ज़ैद गया तो क़सम टूट गई (आलमगीरी)

मसअला :– क़सम खाई कि उस ख़ेमा में न जायेगा और वह ख़ेमा किसी जगह नसब किया हुआ

है अब वहाँ से उखाड़ कर दूसरी जगह खड़ा किया गया और उस के अन्दर गया तो क़सम टूट गई यूहीं लकड़ी का ज़ीना या मिम्बर एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह क़ाइम किया गया तो अब भी वही क़रार पायेगा यानी जिस ने उन पर न चढ़ने की क़सम खाई है अब चढ़ा क़सम टूट गई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– ज़ैद ने क़सम खाई कि मैं अम्र के पास न जाऊँगा और अम्र ने भी क़सम खाई कि मैं ज़ैद के पास न जाऊँगा और दोनों मकान में एक साथ गये तो क़सम नहीं टूटी और अगर क़सम खाई कि मैं उस के पास न जाऊँगा और उस के मरने के बाद गया तो क़सम नहीं टूटी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि जब तक ज़ैद उस मकान में है मैं उस मकान में न जाऊँगा और ज़ैद अपने बाल बच्चों को लेकर उस मकान से चला गया फिर उस मकान में आ गया तो अब उस में जाने से क़सम नहीं टूटेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ के मकान में नहीं जायेगा और उस के अस्तबल में गया तो क़सम नहीं टूटी (बहर)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि उस गली में न आयेगा और उस गली के किसी मकान में गया मगर उस गली से नहीं बल्कि छत पर चढ़कर या किसी और रास्ते से तो क़सम नहीं टूटी बशर्ते कि उस मकान से निकलने में भी गली में न आये (बहर)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ के मकान में नहीं जायेगा और मालिके मकान के मरने के बाद गया तो क़सम नहीं टूटी (बहर)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ मकान में या फ़ुलाँ मुहल्ला या कूचा में नहीं रहेगा और उस मकान या मुहल्ला में फ़िलहाल रहता है और अब खुद उस मकान या मुहल्ला से चला गया बाल बच्चों और सामान को वहीं छोड़ा तो क़सम टूट गई यानी क़सम उस वक़्त पूरी होगी कि खुद भी चला जाये और बाल बच्चों को भी ले जाये और ख़ानादारी के सामान उस क़द्र ले जाये जो सुकूनत के लिए ज़रूरी हैं और अगर क़सम के वक़्त उस में सुकूनत न हो तो जब खुद बाल बच्चे और खानादारी के ज़रूरी सामान को लेकर उस मकान में जायेगा क़सम टूट जायेगी मगर यह उस वक़्त है कि क़सम अ़रबी ज़बान में हो क्योंकि अ़रबी ज़बान में अगर खुद उस मकान से चला गया और बाल बच्चे या सामान ख़ानादारी अभी वहीं हैं तो वह मकान उसकी सुकूनत का क़रार पायेगा अगर्चे उस में रहना छोड़दिया हो और जिस मकान में तन्हा जाकर रहता है वह सुकूनत का मकान नहीं और फ़ारिसी या उर्दू में अगर खुद उस मकान को छोड़ दिया तो यह नहीं कहा जायेगा कि उस मकान में रहता है अगर्चे बाल बच्चे वहाँ हों या खानादारी का कुल सामान उस मकान में मौजूद हो और जिस मकान में चला गया उस मकान में उसका रहना क़रार दिया जाता है अगर्चे यहाँ न बाल बच्चे हों न सामान और क़सम में एअ्तिबार वहाँ की बोल चाल का है लिहाज़ा अ़रबी का वह हुक्म है और फ़ारिसी, उर्दू का यह (आलमगीरी, बहर, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि उस मकान में नहीं रहेगा और क़सम के वक़्त उसी मकान में सुकूनत है तो अगर सुकूनत में दूसरे का ताबेअ् है मसलन बालिग़ लड़का कि बाप के मकान में रहता है या औ़रत कि शौहर के मकान में रहती है और क़सम खाने के बाद फ़ौरन खुद उस मकान से चला गया और बाल बच्चों को और सामान को वहीं छोड़ा तो क़सम नहीं टूटी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि इस मकान में नहीं रहेगा और निकलना चाहता था मगर दरवाज़ा बन्द

है किसी तरह खोल नहीं सकता या किसी ने उसे मुक़य्यद कर लिया कि निकल नहीं सकता तो क़सम नहीं टूटी पहली सूरत में उस की ज़रूरत नहीं कि दीवार तोड़ कर बाहर निकले यानी अगर दरवाज़ा बन्द है और दीवार तोड़कर निकल सकता है और तोड़कर न निकला तो क़सम नहीं टूटी यूँहीं अगर क़सम खाने वाली औरत है और रात का वक़्त है तो रात में रह जाने से क़सम न टूटेगी और मर्द ने क़सम खाई और रात का वक़्त है तो जब तक चोर वग़ैरा का डर न हो उज़्र नहीं।

मसअ्ला :– क़सम ख़ाई कि उस मकान में न रहेगा अगर दूसरे मकान की तलाश में है तो मकान न छोड़ने की वजह से क़सम नहीं टूटी अगर्चे कई दिन गुज़र जायें बशर्ते कि मकान की तलाश में पूरी कोशिश करता हो यूँहीं अगर उसी वक़्त से सामान के लिए मज़दूर तलाश किया और न मिला या सामान खुद ढोकर ले गया उस में देर हुई और मज़दूर करता तो जल्द ढुल जाता और मज़दूर करने पर कुदरत भी रखता है तो इन सब सूरतों में देर हो जाने से क़सम नहीं टूटी और उर्दू में क़सम है तो उस का मकान से निकल जाना उस नियत से कि अब उस में रहने को न आऊँगा क़सम सच्ची होने के लिए काफ़ी है अगर्चे सामान वग़ैरा ले जाने में कितनी ही देर हो और किसी वजह से देर हो (दुर्रे मुख़्तार, ख़ानिया)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि उस शहर या गाँव में नहीं रहेगा और खुद वहाँ से फ़ौरन चला गया तो क़सम नहीं टूटी अगर्चे बाल बच्चे और कुल सामान वहीं छोड़ गया हो फिर जब कभी वहाँ रहने के इरादा से आयेगा क़सम टूट जायेगी और अगर किसी से मिलने को या बाल बच्चों और सामान लेने को वहाँ आयेगा तो अगर्चे कई दिन ठहर जाये क़सम नहीं टूटी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि मैं पूरे साल उस गाँव में न रहूँगा या इस मकान में इस महीने भर सुकूनत न करूँगा और साल में या महीने में एक दिन बाक़ी था कि यहाँ ये चला गया तो क़सम नहीं टूटी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ शहर में नहीं रहेगा और सफ़र करके वहाँ पहुँचा अगर पन्द्रह दिन ठहरने की नियत कर ली तो क़सम टूट गई और उस से कम में नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ के साथ उस मकान में नहीं रहेगा और उस मकान के एक हिस्सा में वह रहा और दूसरे में यह तो क़सम टूट गई अगर्चे दीवार उठवाकर उस मकान के दो हिस्से जुदा जुदा कर दिए गये और हर एक ने अपनी अपनी आमद व रफ़्त का दरवाज़ा अ़लाहिदा अ़लाहिदा खोल लिया और अगर क़सम खाने वाला उस मकान में रहता था वह शख़्स ज़बरदस्ती उस मकान में आकर रहने लगा अगर यह फ़ौरन उस मकान से निकल गया तो क़सम नहीं टूटी वरना टूट गई अगर्चे उस का इस मकान में रहना उसे मालूम न हो और अगर मकान को मुअ़य्यन न किया मसलन कहा फ़ुलाँ के साथ किसी मकान में या एक मकान में न रहेगा और एक ही मकान की तक़सीम कर के दोनों दो मुख़्तलिफ़ हिस्सों में हों तो क़सम नहीं टूटी जब कि बीच में दीवार क़ाइम कर दी गई या वह मकान बहुत बड़ा हो कि एक मुहल्ला के बराबर हो (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ के साथ न रहेगा फिर यह क़सम खाने वाला सफ़र कर के उस के मकान पर जाकर उतरा अगर पन्द्रह दिन ठहरेगा तो क़सम टूट जायेगी और कम में नहीं (ख़ानिया)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि उस के साथ फ़ुलाँ शहर में न रहेगा तो उस का यह मतलब है कि उस शहर के एक मकान में दोनों न रहेंगे लिहाज़ा दोनों अगर उस शहर के दो मकान में रहें तो

कसम नहीं टूटी हाँ अगर उस कसम से उस की यह नियत हो कि दोनों उस शहर में मुतलकन न रहेंगे तो अगर्चे दोनों दो मकान में हों कसम टूट गई यही हुक्म गाँव में एक साथ न रहने की कसम का है (आलमगीरी)

मसअला :– कसम खाई कि फुलाँ के साथ एक मकान में न रहेगा और दोनों बाज़ार में एक दुकान में बैठकर काम करते या तिजारत करते हैं तो कसम नहीं टूटी हाँ अगर उस की नियत में यह भी हो कि दोनों एक दुकान में काम न करेंगे या कसम के पहले कोई ऐसा कलाम हुआ है जिस से यह समझा जाता हो या दुकान ही में रात को भी रहते हैं तो कसम टूट जायेगी(आलमगीरी)

मसअला :– कसम खाई कि फुलाँ के मकान में न रहेगा और मकान को मुअय्यन न किया कि यह मकान और उस शख़्स ने उस के कसम खाने के बाद अपना मकान बेच डाला तो अब उस में रहने से कसम न टूटेगी और अगर उस की कसम के बाद उस ने कोई मकान ख़रीदा और उस जदीद मकान में कसम खाने वाला रहा तो टूट गई और अगर वह मकान उस शख़्स का तन्हा नहीं है बल्कि दूसरे का भी उस में हिस्सा है तो उस में रहने से नहीं टूटेगी और अगर कसम में मकान को मुअय्यन कर दिया था कि फुलाँ के उस मकान में न रहूँगा और नियत यह है कि इस मकान में न रहूँगा अगर्चे किसी का हो तो अगर्चे बेचडाला उस में रहने से कसम टूट जायेगी और अगर यह नियत हो कि चुँकि यह फुलाँ का है उस वजह से न रहूँगा या कुछ नियत न हो तो बेचने के बाद रहने से न टूटी (आलमगीरी)

मसअला :– कसम खाई कि ज़ैद जो मकान ख़रीदेगा उस में मैं न रहूँगा और ज़ैद ने एक मकान अम्र के लिए ख़रीदा कसम खाने वाला उस मकान में रहेगा तो कसम टूट जायेगी हाँ अगर वह कहे कि मेरा मकसद यह था कि ज़ैद जो मकान अपने लिए ख़रीदे मैं उस में न रहूँगा और यह मकान तो अम्र के लिए ख़रीदा है तो उस का कौल मान लिया जायेगा (आलमगीरी)

मसअला :– कसम खाई कि सवार न होगा तो जिस जानवर पर वहाँ के लोग सवार होते हैं उस पर सवार होने से कसम टूटेगी लिहाज़ा अगर आदमी की पीठ पर सवार हुआ तो कसम नहीं टूटी यूँहीं गाय, बैल, भैंस की पीठ पर सवार होने से कसम न टूटेगी यूँहीं गधे और ऊँट पर सवार होने से भी कसम न टूटेगी कि हिन्दुस्तान में उन पर लोग सवार नहीं हुआ करते हाँ अगर कसम खाने वाला उन लोगों में से हो जो इन पर सवार होते हैं जैसे गधे वाले या ऊँट वाले कि यह सवार हुआ करते हैं तो कसम टूट जायेगी और घोड़े हाथी पर सवार होने से कसम टूट जायेगी कि यह जानवर यहाँ लोगों की सवारी के हैं यूँही अगर कसम खाने वाला उन लोगो में तो नहीं है जो गधे या ऊँट पर सवार होते हैं मगर कसम वहाँ खाई जहाँ लोग उन पर सवार होते हैं मसलन मुल्के अरब शरीफ़ के सफ़र में है तो गधे और ऊँट पर सवार होने से भी कसम टूट जायेगी(मुस्तफ़ाद मिनहुर वगैरा)

मसअला :– कसम खाई कि किसी सवारी पर सवार न होगा तो घोड़ा, ख़च्चर, हाथी, डोली, बहली, रेल यक्का, तांगा, शक़रम वग़ैरहा हर किस्म की सवारी गाड़ियाँ और कश्ती पर सवार होने से कसम टूट जायेगी।

मसअला :– कसम खाई कि घोड़े पर सवार न होगा तो ज़ीन या चार जामा रखकर सवार हुआ या नंगी पीठ पर बहर हाल कसम टूट गई (आलमगीरी)

मसअला :– कसम खाई कि उस ज़ीन पर सवार न होगा फिर उस में कुछ कमी बेशी की जब भी उस पर सवार होने से कसम टूट जायेगी (आलमगीरी)

मसअला :– क़सम खाई कि किसी जानवर पर सवार न होगा तो आदमी पर सवार होने से क़सम न टूटेगी कि उ़र्फ़ में आदमी को जानवर नहीं कहते (फ़त्ह)

मसअला :– क़सम खाई कि अ़रबी घोड़े पर सवार न होगा तो और घोड़े पर सवार होने से क़सम नहीं टूटेगी (आ़लमगीरी)

मसअला :– क़सम खाई कि घोड़े पर सवार न होगा फिर ज़बरदस्ती किसी ने सवार कर दिया तो क़सम नहीं टूटी और अगर उस ने ज़बरदस्ती की और उस के मजबूर करने से यह ख़ुद सवार हुआ तो क़सम टूट गई (आ़लमगीरी दुर्रे. मुख़्तार)

मसअला :– जानवर पर सवार है और क़सम खाई कि सवार न होगा तो फ़ौरन उतर जाये वरना क़सम टूट जायेगी (आ़लमगीरी)

मसअला :– क़सम खाई कि ज़ैद के इस घोड़े पर सवार न होगा फिर ज़ैद ने उस घोड़े को बेच डाला तो अब उस पर सवार होने से क़सम न टूटेगी यूँहीं अगर क़सम खाई कि ज़ैद के घोड़े पर सवार न होगा और उस घोड़े पर सवार हुआ जो ज़ैद व अ़म्र में मुश्तरक है तो क़सम नहीं टूटी (आ़लमगीरी)

मसअला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ के घोड़े पर सवार न होगा और उस के ग़ुलाम के घोड़े पर सवार हुआ अगर क़सम के वक़्त यह नियत थी कि ग़ुलाम के घोड़े पर भी सवार न होगा और ग़ुलाम पर इतना दैन नहीं जो मुस्तग़रक़ हो तो क़सम टूट गई ख़्वाह ग़ुलाम पर बिल्कुल दैन न हो या है मगर मुसतग़रक़ नहीं और नियत न हो तो क़सम नहीं टूटी और दैन मुस्तग़रक़ हो तो क़सम नहीं टूटी अगर्चे नियत हो (दुर्रे मुख़्तार)

खाने पीने की क़सम का बयान

जो चीज़ ऐसी हो कि चबाकर ह़ल्क़ से उतारी जाती हो उस के ह़ल्क़ से उतारने को खाना कहते हैं अगर्चे उस ने बग़ैर चबाये उतारली और पतली चीज़ बहती हुई को ह़ल्क़ से उतारने को पीना कहते हैं मगर सिर्फ़ इतनी ही बात पर इक़तिसार न करना चाहिए बल्कि मुहावरात का ज़रूर ख़्याल करना होगा कि कहाँ खाने का लफ़्ज़ बोलते हैं और कहाँ पीने का कि क़सम का दार व मदार बोल चाल पर है।

मसअला :– उर्दू में दूध पीने को भी दूध खाना कहते हैं लिहाज़ा अगर क़सम खाई कि दूध नहीं खाऊँगा तो पीने से भी क़सम टूट जायेगी और अगर कोई ऐसी चीज़ खाई जिस में दूध मिला हुआ है मगर उस का मज़ा महसूस नहीं होता तो उस के खाने से क़सम नहीं टूटी।

मसअला :– क़सम खाई कि दूध या सिरका या शोरबा नहीं खायेगा और रोटी से लगा कर खाया तो क़सम टूट गई और ख़ाली सिरका पी गया तो क़सम नहीं टूटी कि उस को खाना न कहेंगे बल्कि यह पीना है (बह्र)

मसअला :– क़सम खाई कि यह रोटी न खायेगा और उसे सुखा कर कूट कर पानी में घोलकर पी गया तो क़सम नहीं टूटी कि यह खाना नहीं है पीना है (बह्र)

मसअला :– अगर किसी चीज़ को मुँह में रख कर उगल दिया तो यह न खाना है न पीना मसलन क़सम खाई कि यह रोटी नहीं खायेगा और मुँह में रख कर उगल दी या यह पानी नहीं पियेगा और उस से कुल्ली की तो क़सम नहीं टूटी (बह्र)

मसअला :– क़सम खाई कि यह अन्डा या यह अख़रोट नहीं खायेगा और उसे बग़ैर चबाये

हुए निगल गया तो क़सम टूट गई और अगर क़सम खाई कि यह अंगूर या आनार नहीं खायेगा और चूस कर अर्क़ पी गया और फ़ुज़ला फेंक दिया तो क़सम टूट गई कि उस को उर्फ़ में खाना कहते हैं यूँही अगर शकर न खाने की क़सम खाई थी और उसे मुँह में रख कर जो घुलती गई हल्क़ से उतारता गया क़सम टूट गई (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– चखने के मअ्ना हैं किसी चीज़ को मुँह में रख कर उस का मज़ा मालूम करना और उर्दू मुहावरा में अकसर मज़ा दरयाफ़्त करने के लिए थोड़ा सा खा लेने या पी लेने को चखना कहते हैं अगर क़रीना से यह बात मालूम हो कि उस कलाम में चखने से मुराद थोड़ा सा खा कर मज़ा मालूम करना है तो यह मुराद लेंगे मसलन कोई शख़्स कुछ खा रहा है उस ने दूसरों को बुलाया उस ने इन्कार किया उस ने कहा ज़रा चख कर तो देखो कैसी है तो यहाँ चखने से मुराद थोड़ी सी खालेना है और अगर क़रीना न हो तो मुतलक़न मज़ा मालूम करने के लिए मुँह में रखना मुराद होगा कि उस मअ्ना में भी यह लफ़्ज़ बोला जाता है मगर अगर पानी की निस्बत क़सम खाई कि उसे नहीं चखूँगा फिर नमाज़ के लिए उस से कुल्ली की तो क़सम नहीं टूटी कि कुल्ली करना नमाज़ के लिए है मज़ा मालूम करने के लिए नहीं अगर्चे मज़ा भी मालूम हो जाये।

मसअ्ला :– क़सम खाई कि यह सत्तू नहीं खायेगा और उसे घोल कर पिया या क़सम खाई कि यह सत्तू नहीं पियेगा और गूँध कर खाया या वैसे ही फाँक लिया तो क़सम नहीं टूटी।

मसअ्ला :– आम वग़ैरा किसी दरख़्त की निस्बत कहा कि उस में से कुछ न खाऊँगा तो उस के फल खाने से क़सम टूट जायेगी कि खुद दरख़्त खाने की चीज़ नहीं लिहाज़ा उस से मुराद उस का फल खाना है यूँहीं फल को निचोड़ा जो निकला वह खाया जब भी क़सम टूट गई और अगर फल को निचोड़ कर उस की कोई चीज़ बनाली गई हो जैसे अंगूर से सिरका बनाते हैं तो उस के खाने से क़सम नहीं टूटी और अगर सूरते मज़कूरा में तकल्लुफ़ कर के किसी ने उस दरख़्त का कुछ हिस्सा छाल वग़ैरा खा लिया तो क़सम नहीं टूटी अगर्चे यह नियत भी हो कि दरख़्त का कोई जुज़ न खाऊँगा और अगर वह दरख़्त ऐसा हो जिस में फल होता ही न हो या होता है मगर खाया न जाता हो तो उस की क़ीमत से कोई चीज़ ख़रीद कर खाने से क़सम टूट जायेगी कि उसके खाने से मुराद उस की क़ीमत से कोई चीज़ ख़रीद कर खाना है (दुर्रे मुख़्तार बहर वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि उस आम के दरख़्त की कीरी न खाऊँगा और पक्के हुए खाये या क़सम खाई कि उस दरख़्त के अंगूर न खाऊँगा और मुनक़्क़े खाये या दूध न खाऊँगा और दही खाया तो क़सम नहीं टूटी (आम्मए कुतुब)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि उस गाये या बकरी से कुछ न खायेगा तो उस का दूध, दही, या मख्खन खाने से क़सम नहीं टूटेगी और गोश्त खाने से टूट जायेगी (बहर वग़ैरा)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि यह आटा नहीं खायेगा और उस की रोटी या और कोई बनी हुई चीज़ खाई तो क़सम टूट गई और खुद आटा ही फाँक लिया तो नहीं (बहर, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि रोटी नहीं खायेगा तो उस जगह जिस चीज़ की रोटी लोग खाते हैं उस की रोटी से क़सम टूटेगी मसलन हिन्दुस्तान में गेहू, जौ जुवार बाजरा मक्का की रोटी पकाई जाती है तो चावल की रोटी से क़सम नहीं टूटेगी और जहाँ चावल की रोटी लोग खाते हों वहाँ के किसी शख़्स ने क़सम खाई, तो चावल की रोटी खाने से क़सम टूट जायेगी (बहर)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि यह सिरका नहीं खायेगा और चटनी या सिकन्जबीन खाई जिस में वह

सिरका पड़ा हुआ था तो क़सम नहीं टूटी या क़सम खाई कि इस अन्डे से नहीं खायेगा और उस में से बच्चा निकला और उसे खाया तो क़सम नहीं टूटी (आलमगीरी, बहर)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि इस दरख़्त से कुछ न खायेगा और उस की क़लम लगाई तो उस क़लम के फल खाने से क़सम नहीं टूटी (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि उस बछिया का गोश्त नहीं खायेगा फिर जब वह जवान हो गई उस वक़्त उस का गोश्त खाया तो क़सम टूट गई (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि गोश्त नहीं खायेगा तो मछली खाने से क़सम नहीं टूटेगी और ऊँट, गाय, भैंस, भेड़, बकरी और परिन्द वग़ैरा जिन का गोश्त खाया जाता है अगर उन का गोश्त खाया तो टूट जायेगी ख़्वाह शोरबे दार हो या भुना हुआ या कोफ़्ता और कच्चा गोश्त या सिर्फ़ शोरबा खाया तो नहीं टूटी यूँहीं कलेजी, तिल्ली, फेफड़ा, दिल, गुर्दा, ओझड़ी, दुम्बा की चक्की के खाने से भी नहीं टूटेगी कि उन चीज़ों को उर्फ़ में गोश्त नहीं कहते और अगर किसी जगह उन चीज़ों का भी गोश्त में शुमार हो तो वहाँ उन के खाने से भी टूट जायेगी दुर्रे मुख़्तार (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि बैल का गोश्त नहीं खायेगा तो गाय के गोश्त से क़सम नहीं टूटेगी और गाय के गोश्त न खाने की क़सम खाई तो बैल का गोश्त खाने से टूट जायेगी कि बैल के गोश्त को भी लोग गाय का गोश्त कहते हैं और भैंस के गोश्त से नहीं टूटेगी और भैंस के गोश्त की क़सम खाई तो गाय बैल के गोश्त से नहीं टूटेगी और बड़ा गोश्त कहा तो उन सब को शामिल है और बकरी का गोश्त कहा तो बकरे के गोश्त से भी क़सम टूट जायेगी कि दोनों को बकरी का गोश्त कहते हैं यूँही भेड़ का गोश्त कहा तो मेंढे को भी शामिल है और दुम्बा उन में दाख़िल नहीं अगर्चे दुम्बा उसी की एक क़िस्म है और छोटा गोश्त उन सब को शामिल है।

मसअ्ला :– क़सम खाई कि चर्बी नहीं खायेगा तो पेट में और आँतों पर जो चरबी लिपटी रहती है उस के खाने से क़सम टूटेगी पीठ की चरबी जो गोश्त के साथ मिली हुई होती है उस के खाने से या दुम्बा की चक्की खाने से नहीं टूटेगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि गोश्त नहीं खायेगा और किसी ख़ास गोश्त की नियत है तो उस के सिवा दूसरे गोश्त खाने से क़सम नहीं टूटेगी यूँहीं क़सम खाई कि खाना नहीं खायेगा और ख़ास खाना मुराद लिया तो दूसरा खाना खाने से क़सम न टूटेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि तिल नहीं खायेगा तो तिल का तेल खाने से क़सम नहीं टूटी और गेहूँ न खाने की क़सम खाई तो भुने हुए गेहूँ खाने से क़सम टूट जायेगी और गेहूँ की रोटी या आटा या सत्तू या कच्चे गेहूँ खाने से क़सम न टूटेगी मगर जब कि उस की यह नियत हो कि गेहूँ की रोटी नहीं खायेगा तो रोटी खाने से भी टूट जायेगी (बहर आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि यह गेहूँ नहीं खायेगा फिर उन्हें बोया अब जो पैदा हुए उन के खाने से क़सम नहीं टूटेगी कि यह वह गेहूँ नहीं हैं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि रोटी नहीं खायेगा तो पराँठे, पूरियाँ, समोसे, बिस्किट, शीरमाल, कुलचे, गुलगुले, नान पाव, खाने से क़सम नहीं टूटेगी कि उन को रोटी नहीं कहते और तन्नूरी रोटी या चपाती या मोटी रोटी या बेलन से बनाई हुई रोटी खाने से क़सम टूट जायेगी (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फुलाँ का खाना नहीं खायेगा और उस के यहाँ का सिरका या नमक खाया तो क़सम नहीं टूटी (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ शख़्स का खाना नहीं खायेगा और वह शख़्स खाना बेचा करता है उस ने ख़रीद कर खा लिया तो क़सम टूट गई कि उस के खाने से मुराद उस से ख़रीद कर खाना खाना है और अगर खाना बेचना उस का काम नहीं तो मुराद वह खाना है जो उस की मिल्क में है लिहाज़ा ख़रीद कर खाने से क़सम नहीं टूटेगी (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला : – फ़ुलाँ औ़रत की पकाई हुई रोटी नहीं खायेगा और उस औ़रत ने ख़ुद रोटी पकाई है यानी उस ने तवे पर डाली और सेंकी है तो उस के खाने से क़सम टूट जायेगी और अगर उस ने फ़क़त आटा गूँधा है या रोटी बनाई है और किसी दूसरे ने तवे पर डाली और सेंकी उस के खाने से नहीं टूटेगी कि आटा गूँधने या रोटी बनाने को पकाना नहीं कहेंगे और अगर कहा फ़ुलाँ औ़रत की रोटी नहीं खायेगा तो उस में दो सूरतें हैं अगर यह मुराद है कि उस की पकाई हुई रोटी नहीं खाऊँगा तो वही हुक्म है जो बयान किया गया और अगर यह मतलब है कि उस की मिल्क में जो रोटी है वह नहीं खाऊँगा तो अगर्चे किसी और ने आटा गूँधा या रोटी पकाई हो मगर जब उस की मिल्क है तो खाने से टूट जायेगी (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि यह खाना खायेगा तो उस में दो सूरतें हैं कोई वक़्त मुक़र्रर कर दिया है या नहीं अगर वक़्त नहीं मुक़र्रर किया है फिर वह खाना किसी और ने खा लिया या हलाक हो गया या क़सम खाने वाला मर गया तो क़सम टूट गई और अगर वक़्त मुक़र्रर कर दिया है मसलन आज उस को खायेगा और दिन गुज़रने से क़सम खाने वाला मर गया या खाना बर्बाद हो गया तो क़सम नहीं टूटी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि खाना नहीं खायेगा तो वह खाना मुराद है जिस को आ़दतन खाते हैं लिहाज़ा अगर मुर्दार का गोश्त खाया तो क़सम नहीं टूटी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि सिरी नहीं खायेगा और उस की यह नियत हो कि बकरी, गाय, मुर्ग़, मछली वग़ैरहा किसी जानवर का सर नहीं खायेगा तो जिस चीज़ का सर खायेगा क़सम टूट जायेगी और अगर नियत कुछ न हो तो गाय और बकरी के सर खाने से क़सम टूटेगी और चिड़िया टिड्डी, मछली वग़ैरहा जानवरों के सर खाने से नहीं टूटेगी (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला : – क़सम खाई कि अन्डा नहीं खायेगा और नियत कुछ न हो तो मछली के अन्डे खाने से नहीं टूटेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला : – मेवा न खाने की क़सम खाई तो मुराद सेब, नाशपाती, आड़ू, अँगूर, अनार,आम, अमरूद, वग़ैरहा हैं जिन को उ़र्फ़ में मेवा कहते हैं खीरा, ककड़ी, गाजर, वग़ैरहा को मेवा नहीं कहते।

मसअ्ला :– मिठाई से मुराद इमरती, जलेबी, पेड़ा, बालूशाही, गुलाब जामन, क़लाक़ंद, बर्फ़ी लड्डू वग़ैरहा जिन को उ़र्फ़ में मिठाई कहते हैं हाँ इस तरफ़ बाज़ गाँव में गुड़ को मिठाई कहते हैं लिहाज़ा अगर उस गाँव वाले ने मिठाई न खाने की क़सम खाई तो गुड़ खाने से क़सम टूट जायेगी और जहाँ का यह मुहावरा नहीं है वहाँ वाले की नहीं टूटेगी अ़रबी में हल्वा हर मीठी चीज़ को कहते हैं यहाँ तक कि इन्ज़ीर और खजूर को भी मगर हिन्दुस्तान में एक ख़ास तरह से बनाई हुई चीज़ को हल्वा कहते हैं सूजी, मेवा चावल के आटे वग़ैरा से बनाते हैं और यहाँ बरेली में उस को मिठाई भी बोलते हैं ग़र्ज़ जिस जगह का जो उ़र्फ़ हो वहाँ उसी का एअ्तिबार है सालन उ़मूमन हिन्दुस्तान में गोश्त को कहते हैं जिस से रोटी खाई जाये और बाज़ जगह मैंने दाल को भी सालन सुना और अ़रबी ज़बान में तो सिरका को भी इदाम (सालन) कहते हैं आलू, रतालू, अरवी, तुरई, भिन्डी, साग,

कद्दू, शलजम,गोभी, और दीगर सब्ज़ियों को तरकारी कहते हैं जिनको गोश्त में डालते हैं या तन्हा पकाते हैं और बाज़ गाँवों में जहाँ हिन्दू कसरत से रहते हैं गोश्त को भी लोग तरकारी बोलते हैं।
मसअ्ला :– क़सम खाई कि खाना नहीं खायेगा और कोई ऐसी चीज़ खाली जिसे उ़र्फ़ में खाना नहीं कहते हैं मसलन दूध पी लिया या मिठाई खाली तो क़सम नहीं टूटी।
मसअ्ला :– क़सम खाई कि नमक नहीं खायेगा और ऐसी चीज़ खाई जिसमें नमक पड़ा हुआ है तो क़सम नहीं टूटी अगर्चे नमक का मज़ा मह़सूस होता हो और रोटी वग़ैरा को नमक लगा कर खाया तो क़सम टूट जायेगी (रद्दुल मुह़तार)
मसअ्ला : – क़सम खाई कि मिर्च नहीं खायेगा और गोश्त वग़ैरा कोई ऐसी चीज़ खाई जिस में मिर्च है और मिर्च का मज़ा मह़सूस होता है तो कसम टूट गई उस की ज़रूरत नहीं कि मिर्च खाये तो क़सम टूटे (दुर्रे मुख़्तार)
मसअ्ला : – क़सम खाई कि प्याज़ नहीं खायेगा और कोई ऐसी चीज़ खाई जिसमें प्याज़ पड़ी है तो क़सम नहीं टूटी अगर्चे प्याज़ का मज़ा मा़लूम होता हो (दुर्रे मुख़्तार)
मसअ्ला :– जिस खाने की निस्बत क़सम खाई कि उस को नहीं खायेगा या पानी की निस्बत कि उस को नहीं पियेगा, अगर वह इतना है कि एक मज्लिस में खा सकता है और एक प्यास में पी सकता है तो जब तक कुल न खाये पिये कसम नहीं टूटेगी मसलन क़सम खाई कि यह रोटी नहीं खायेगा और रोटी ऐसी है कि एक मज्लिस में पूरी खा सकता है तो उस रोटी का टुकड़ा खाने से क़सम नहीं टूटेगी यूँहीं क़सम खाई कि उस ग़िलास का पानी नहीं पियेगा तो एक घूँट पीने से नहीं टूटी और अगर खाना इतना है कि एक मज्लिस में नहीं खा सकता तो उस में से ज़रा सा खाने से भी क़सम टूट जायेगी मसलन क़सम खाई कि उस गाय का गोश्त नहीं खायेगा और एक बोटी खाई क़सम टूट गई यूँहीं क़सम खाई कि उस मटके का पानी नहीं पियूँगा और मटका पानी से भरा है तो एक घूँट से भी टूट जायेगी और अगर यूँ कहा कि यह रोटी मुझ पर ह़राम है तो अगर्चे एक मज्लिस में वह रोटी खा सकता हो मगर उस का टुकड़ा खाने से भी कफ़्फ़ारा लाज़िम होगा यूँहीं यह पानी मुझपर ह़राम है और एक घूँट पी लिया तो कफ़्फ़ारा वाजिब हो गया अगर्चे वह एक प्यास का भी न हो (आ़लमगीरी)
मसअ्ला :– क़सम खाई कि यह रोटी नहीं खायेगा और कुल खा गया एक ज़रा सी छोड़दी तो क़सम टूट गई कि रोटी का ज़रा हिस़्सा छोड़ देने से भी उ़र्फ़ में यही कहा जायेगा कि रोटी खाली हाँ अगर उन की यह नियत थी कि कुल नहीं खायेगा तो ज़रा सी छोड़ देने से क़सम नहीं टूटी (आ़लमगीरी)
मसअ्ला :– क़सम खाई कि उस अनार को नहीं खाऊँगा और सब खा लिया एक दो दाने छोड़दिये तो क़सम गई और अगर इतने ज़्यादा छोड़े कि आ़दतन उतने नहीं छोड़े जाते तो नहीं टूटी(आ़लमगीरी)
मसअ्ला :– कसम खाली कि ह़राम नहीं खायेगा और ग़सब किए हुए रुपये से कोई चीज़ ख़रीद कर खाई तो कसम नहीं टूटी मगर गुनाहगार हुआ और अगर जो चीज़ खाई अगर वह ख़ुद ग़सब की हुई है तो क़सम टूट गई (आ़लमगीरी)
मसअ्ला :– कसम खाई कि ज़ैद की कमाई नहीं खायेगा और ज़ैद को कोई चीज़ वुरास़त में मिली तो उस के खाने से क़सम नहीं टूटेगी और अगर ज़ैद ने कोई चीज़ ख़रीदी या हिबा या स़दक़ा में कोई चीज़ मिली और ज़ैद ने उसे क़बूल कर लिया तो उसके खाने से क़सम टूट जायेगी और

अगर ज़ैद से मैं ने कोई चीज़ ख़रीद कर खाई तो नहीं टूटी और अगर ज़ैद मर गया और उस की कमाई का माल ज़ैद के वारिस के यहाँ खाया या यह क़सम खाने वाला ख़ुद ही वारिस है और खालिया तो क़सम टूट गई (आलमगीरी)

मसअला :– किसी के पास रुपये हैं क़सम खाई कि उन को नहीं खायेगा फिर रुपये के पैसे भुना लिए या अशरफ़ियाँ कर लीं फिर उन पैसों या अशरफ़ियों से कोई चीज़ ख़रीद कर खाई तो क़सम टूट गई और अगर उन पैसों या अशरफ़ियों से ज़मीन ख़रीदी फिर उसे बेचकर खालिया तो नहीं टूटी (आलमगीरी)

मसअला :– क़सम उस वक़्त सहीह होगी कि जिस चीज़ की क़सम खाई हो वह ज़माना–ए–आइन्दा में पाई जा सके यानी अक़्लन मुमकिन हो अगर्चे आदतन मुहाल हो मसलन यह क़सम खाई कि मैं आसमान पर चढूँगा या उस मिट्टी को सोना कर दूँगा तो क़सम हो गई और उसी वक़्त टूट भी गई यूँहीं क़सम के बाक़ी रहने की भी यह शर्त है कि वह काम अब भी मुमकिन हो लिहाज़ा अगर अब मुमकिन न रहा तो क़सम जाती रही मसलन क़सम खाई कि मैं तुम्हारा रुपया कल अदा कर दूँगा और कल के आने से पहले ही मर गया तो अगर्चे क़सम सहीह हो गई थी मगर अब क़सम न रही कि वह रहा ही नहीं उस क़ाइदा के जानने के बाद अब यह देखिए कि अगर क़सम खाई कि मैं उस कूज़ा का पानी आज पियूँगा और कूज़ा में पानी नहीं है या था मगर रात के आने से पहले उस में का पानी गिर गया या उस ने गिरादिया तो क़सम नहीं टूटी कि पहली सूरत में क़सम सहीह न हुई और दूसरी में सहीह तो हुई मगर बाक़ी न रही यूँही अगर कहा मैं उस कूज़ा का पानी पियूँगा और उस में पानी उस वक़्त नहीं है तो नहीं टूटी मगर जबकि यह मालूम है कि पानी नहीं है और फिर क़सम खाई तो गुनाहगार हुआ अगर्चे कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं और अगर पानी था और गिर गया या गिरादिया तो क़सम टूट गई और कफ़्फ़ारा लाज़िम (दुर्रे मुख़्तार, रदुल मुहतार बहर)

मसअला :– औरत से कहा अगर तूने कल नमाज़ न पढ़ी तो तुझ को तलाक़ है और सुब्ह को औरत को हैज़ आ गया तो तलाक़ न हुई यूँही औरत से कहा कि जो रुपये तूने मेरी जेब से लिया है अगर उस में न रखेगी तो तलाक़ है और देखा तो रुपया जेब में मौजूद है तलाक़ न हुई (दुर्रे मुख़्तार)

कलाम (बातें करने) के मुतअ़ल्लिक़ क़सम का बयान

मसअला :– यह कहा कि तुम से या फ़ुलाँ से कलाम करना मुझ पर हराम है और कुछ भी बात की तो कफ़्फ़ारा लाज़िम होगया (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– क़सम खाई कि उस बच्चे से कलाम न करेगा और उस के जवान या बूढ़े होने के बाद कलाम किया तो क़सम टूट गई कहा कि बच्चा से कलाम न करूँगा और जो जवान बूढ़े से कलाम किया तो नहीं टूटी (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी)

मसअला :– क़सम खाई कि ज़ैद से कलाम न करेगा और ज़ैद सोरहा था उस ने पुकारा अगर पुकार ने से जाग गया तो क़सम टूट गई और बेदार न हुआ तो नहीं और अगर जाग रहा था और उस ने पुकारा अगर इतनी आवाज़ थी कि सुन सके अगर्चे बहरे होने या काम में मशग़ूल होने या शोर की वजह से न सुना तो क़सम टूट गई और अगर दूर था और इतनी आवाज़ से पुकारा कि सुन नहीं सकता तो नहीं टूटी और अगर ज़ैद किसी मजमअ़ में था उस ने मजमअ़ को सलाम किया तो क़सम टूट गई हाँ अगर नियत यह हो कि ज़ैद के सिवा औरों को सलाम करता है तो नहीं टूटी और नमाज़ का सलाम कलाम नहीं है लिहाज़ा उस से क़सम नहीं टूटेगी ख़्वाह ज़ैद दहनी तरफ़ हो

या बायें तरफ़ यूँहीं अगर ज़ैद इमाम था और यह मुक़तदी उस ने उस की ग़लती पर सुबहानल्लाह कहा या लुक़मा दिया तो क़सम नहीं टूटी और अगर नमाज़ में न था और लुक़मा दिया या उसकी ग़लती पर सुबहानल्लाह कहा तो क़सम टूट गई। (बहर)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि ज़ैद से बात न करूँगा और किसी काम को उस से कहना है उस ने किसी दूसरे को मुख़ातब कर के कहा और मक़सूद ज़ैद को सुनाना है तो क़सम नहीं टूटी यूँहीं अगर औरत से कहा कि तूने अगर मेरी शिकायत अपने भाई से की तो तुझ को तलाक़ है औरत का भाई आया उस के सामने औरत ने बच्चे से अपने शौहर की शिकायत की और मक़सूद भाई को सुनाना है तो तलाक़ न हुई (बहर)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि मैं तुझ से इबतिदाअन कलाम न करूँगा और रास्ते में दोनों की मुलाक़ात हुई दोनों ने एक साथ सलाम किया तो क़सम नहीं टूटी बल्कि जाती रही कि अब इबतिदअन कलाम करने में हर्ज नहीं **यूँही अगर** औरत से कहा अगर मैं तुझ से इबतिदाअन कलाम करूँ तो तुझ को तलाक़ है और औरत ने भी क़सम खाई कि मैं तुझ से कलाम की पहल न करूँगी तो मर्द को चाहिए कि औरत से कलाम करे कि उस की क़सम के बाद जब औरत ने क़सम खाई तो अब मर्द का कलाम करना इबतिदाअन न होगा (बहर)

मसअ्ला :– कलाम न करने की क़सम खाई तो ख़त भेजने या किसी के हाथ कुछ कहला कर भेजने या इशारा करने से नहीं टूटेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– इक़रार व बशारत और ख़बर देना यह सब लिखने से हो सकते हैं और इशारे से नहीं मसलन क़सम खाई कि तुम को फलाँ बात की ख़बर न दूँगा और लिखकर भेजदिया तो क़सम टूट गई और इशारात से बताया तो नहीं और अगर क़सम खाई कि तुम्हारा यह राज़ किसी पर ज़ाहिर न करूँगा और इशारे से बताया तो क़सम टूट गई कि ज़ाहिर करना इशारे से भी हो सकता है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि ज़ैद से कलाम न करेगा और ज़ैद ने दरवाज़ा पर आकर कुन्डी खटखटाई उस ने कहा कौन है या कौन तो क़सम नहीं टूटी और अगर कहा आप कौन साहब हैं या तुम कौन हो तो टूट गई यूँहीं अगर ज़ैद ने पुकारा और उस ने कहा हाँ या कहा हाज़िर हुआ या उस ने कुछ पुछा उस ने जवाब में हाँ कहा तो क़सम टूट गई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि बीवी से कलाम न करेगा और घर में औरत के सिवा दूसरा कोई नहीं है यह घर में आया और कहा यह चीज़ किस ने रखी है या कहा यह चीज़ कहाँ है तो क़सम टूट गई और अगर घर में कोई और भी है तो नहीं टूटी यानी जब कि उस की नियत औरत से पूछने की हो (आलमगीरी)

मसअ्ला :– कलाम न करने की क़सम खाई और ऐसी ज़बान मे कलाम किया जिसे मुख़ातब नहीं समझता जब भी क़सम टूट गई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम ख़ाई कि ज़ैद से बात न करूँगा जब तक फ़ुलाँ शख़्स इजाज़त न दे और उस ने इजाज़त दी मगर उसे ख़बर नहीं और कलाम कर लिया तो क़सम टूट गई और अगर इजाज़त देने से पहले वह शख़्स मर गया तो क़सम बातिल हो गई यानी अब कलाम करने से नहीं टूटेगी कि क़सम ही न रही और अगर यूँहीं कहा था कि बग़ैर फ़ुलाँ की मर्ज़ी के कलाम न करूँगा और उस की मरज़ी थी मगर उसे मालूम न था और कलाम कर लिया तो नहीं टूटी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला : – यह क़सम खाई कि फ़ुलाँ को ख़त न लिखूँगा और किसी को लिखने के लिए इशारा

किया तो अगर यह क़सम खाने वाला अमीरों में से है तो क़सम टूट गई कि ऐसे लोग खुद नहीं लिखा करते बल्कि दूसरों से लिखवाया करते हैं और उन लोगों की आदत होती है कि इशारे से हुक्म किया करते हैं (दुर्रे मुख़्तार, बहर)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ का ख़त न पढ़ेगा और ख़त को देखा और जो कुछ लिखा है उसे समझा तो क़सम टूट गई कि ख़त पढ़ने से यही मक़सूद है ज़बान से पढ़ना मक़सूद नहीं यह इमाम मुहम्मद रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु का क़ौल है और इमाम अबू यूसुफ़ रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु फ़रमाते हैं कि जब तक ज़बान से तलफ़्फ़ुज़ न करेगा क़सम नहीं टूटेगी और उसी क़ौले सानी पर फ़तवा है (बहर)मगर यहाँ का आम मुहावरा यही है कि ख़त देखा और लिखे हुए को समझा तो यह कहते हैं मैंने पढ़ा लिहाज़ा यहाँ के मुहावरा में क़सम टूटने पर फ़तवा होना चाहिए वल्लाहु तआ़ला अअ्लमु यहाँ के मुहावरा में यह लफ़्ज़ कि ज़ैद का ख़त न पढूँगा एक दूसरे मअ्ना के लिए भी बोला जाता है वह यह कि ज़ैद बे पढ़ा शख़्स है उस के पास जब कहीं से ख़त आता है तो किसी से पढ़वाता है तो अगर यह पढ़ना मक़सूद है तो उस में देखना और समझना क़सम टूटने के लिए काफ़ी नहीं बल्कि पढ़कर सुनाने से टूटेगी।

मसअ्ला :– क़सम खाई कि किसी औ़रत से कलाम न करेगा और बच्ची से कलाम किया तो क़सम नहीं टूटी और अगर क़सम खाई कि किसी औ़रत से निकाह न करेगा और छोटी लड़की से निकाह किया तो टूट गयी (बहर)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़क़ीरों और मिस्कीनों से कलाम न करेगा और एक से कलाम कर लिया तो क़सम टूट गई **और अगर** यह नियत है कि तमाम फ़क़ीरों और मिस्कीनों से कलाम न करेगा तो नहीं टूटी **यूँहीं अगर** क़सम खाई कि बनी आदम से कलाम न करेगा तो एक से कलाम करने में क़सम टूट जायेगी और नियत में तमाम औलादे आदम हैं तो नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ से एक साल कलाम न करूँगा तो उस वक़्त से एक साल यानी बारह महीने तक कलाम करने से क़सम टूट जायेगी और अगर कहा कि एक महीना कलाम न करेगा तो जिस वक़्त से क़सम खाई है उस वक़्त से एक महीना यानी तीस दिन मुराद हैं और अगर दिन में क़सम खाई कि एक दिन कलाम न करूँगा तो जिस वक़्त से क़सम खाई है उस वक़्त से दूसरे दिन के उसी वक़्त तक कलाम से क़सम टूटेगी और अगर रात में क़सम खाई कि एक रात कलाम न करूँगा तो उस वक़्त से दूसरे दिन के बाद वाली रात के उसी वक़्त तक मुराद है लिहाज़ा दरमियान का दिन भी शामिल है और अगर रात में कहा कि क़सम ख़ुदा की फ़ुलाँ से एक दिन कलाम न करूँगा तो उस वक़्त से गुरूब आफ़ताब तक कलाम करने से क़सम टूट जायेगी और अगर दिन में कहा कि फ़ुलाँ शख़्स से एक रात कलाम न करूँगा तो उस वक़्त से तुलूअ़े फ़ज्र तक कलाम करने से क़सम टूट जायेगी और एक महीना या एक दिन के रोज़े या एअ्तिकाफ़ की क़सम खाई तो उसे इख़्तेयार है जब चाहे एक महीना या एक दिन का रोज़ा कर ले और अगर कहा इस साल कलाम न करूँगा तो साल पूरा होने में जितने दिन बाक़ी हैं वह लिए जायेंगे यानी उस वक़्त से ख़त्म ज़िलहिज्जा तक यूँही अगर कहा कि इस महीना में कलाम न करूँगा तो जितने दिन उस महीना में बाक़ी हैं वह लिए जायेंगे और अगर यूँ कहा कि आज दिन में कलाम न करूँगा तो उस वक़्त से गुरूब आफ़ताब तक और अगर रात में कहा कि आज रात में कलाम न करूँगा तो रात का जितना हिस्सा बाक़ी है वह मुराद लिया जाये और अगर कहा आज और कल और परसों

कलाम न करूँगा तो दरमियान की रातें भी दाख़िल हैं यानी रात में कलाम करने से भी क़सम टूट जायेगी और अगर कहा कि न आज कलाम करूँगा न कल और न परसों तो रातों में कलाम कर सकता है कि यह एक क़सम नहीं है बल्कि तीन क़समें हैं कि तीन दिनों के लिए अ़लाहिदा अ़लाहिदा हैं (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि कलाम न करूँगा तो क़ुर्आन मजीद पढ़ने या सुबहानल्लाह कहने या और कोई वज़ीफ़ा पढ़ने या किताब पढ़ने से क़सम नहीं टूटेगी और अगर क़सम खाई कि क़ुर्आन मजीद न पढ़ेगा तो नमाज़ में या बैरूने नमाज़ पढ़ने से क़सम टूट जायेगी और अगर उस सूरत में बिस्मिल्लाह पढ़ी और नियत में वह बिस्मिल्लाह है जो सूरए नमल की जुज़ है तो टूट गई वरना नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि क़ुर्आन की फ़ुलाँ सूरत न पढ़ेगा और उसे अव्वल से आख़िर तक देखता गया और जो कुछ लिखा है उसे समझा तो क़सम नहीं टूटी और अगर क़सम खाई कि फ़ुलाँ किताब न पढ़ेगा और यूँही किया तो इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैहि के नज़दीक टूट जायेगी और हमारे यहाँ के उर्फ़ से यही मुनासिब (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि ज़ैद से कलाम न करूँगा जब तक फ़ुलाँ जगह पर है तो वहाँ से चले जाने के बाद क़सम ख़त्म होगई लिहाज़ा अगर फिर वापस आया और कलाम किया तो कुछ हर्ज नहीं कि क़सम अब बाक़ी न रही (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि उसे कचहरी में लेजाकर हल्फ़ दूँगा मुद्दआ़ अ़लैहि ने जाकर उसके हक़ का इक़रार कर लिया हल्फ़ की नोबत ही न आई तो क़सम नहीं टूटी यूंहीं अगर क़सम खाई कि तेरी शिकायत फ़ुलाँ से करूँगा फिर दोनों में सुलह हो गई और शिकायत न की तो क़सम नहीं टूटी या क़सम खाई कि उस का क़र्ज़ आज अदा कर देगा और उस ने मुआ़फ़ कर दिया तो क़सम जाती रही (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार, बहर)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ के ग़ुलाम या उसके दोस्त या उस की औ़रत से कलाम न करूँगा और उस ने ग़ुलाम को बेचडाला या और किसी तरह उस की मिल्क से निकल गया और दोस्त से अ़दावत हो गई और औ़रत को तलाक़ देदी तो अब कलाम करने से क़सम नहीं टूटेगी ग़ुलाम में चाहें यूँ कहा कि फ़ुलाँ के उस ग़ुलाम से या फ़ुलाँ के ग़ुलाम से दोनों का एक हुक्म है और अगर क़सम के वक़्त वह उसका ग़ुलाम था और कलाम करने के वक़्त भी है या क़सम के वक़्त यह उसका ग़ुलाम न था और अब है दोनों सूरतों में टूट जायेगी (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर कहा फ़ुला की उस औ़रत से या फ़ुलाँ की फ़ुलाँ औ़रत से या फ़ुलाँ के उस दोस्त से या फ़ुलाँ के फ़ुलाँ दोस्त से कलाम न करूँगा और तलाक़ या अ़दावत के बाद कलाम किया तो क़सम टूट गई और अगर न इशारा हो न मुअ़य्यन किया हो और उस ने अब किसी औ़रत से निकाह किया या किसी से दोस्ती की तो कलाम करने से क़सम टूट जायेगी (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ के भाईयों से कलाम न करूँगा और उस का एक ही भाई है तो अगर उसे मालूम था कि एक ही है तो कलाम से क़सम टूट गई वरना नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि उस कपड़े वाले से कलाम न करेगा उस ने कपड़े बेचडाले फिर उस ने कलाम किया तो क़सम टूट गई और जिस ने कपड़े ख़रीदे उस से कलाम किया तो नहीं(आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि मैं उस के पास नहीं फटकूँगा तो यह वही हुक्म रखता है जिसे यह कहा कि मैं उस से कलाम न करूँगा (आलमगीरी)

मसअला : – किसी ने अपनी औरत को अजनबी शख़्स से कलाम करते देखा उस ने कहा अगर तू अब किसी अजनबी से कलाम करेगी तो तुझ को तलाक़ है फिर औरत ने किसी ऐसे शख़्स से कलाम किया जो उस घर में रहता है मगर मुहारिम में से नहीं या किसी रिश्तेदार ग़ैर महरम से कलाम किया तो तलाक़ हो गई (आलमगीरी)

मसअला : – कुछ लोग किसी जगह बैठे हुए बात कर रहे थे उन में से एक ने कहा जो शख़्स अब बोले उस की औरत को तलाक़ है फिर ख़ुद ही बोला तो उस की औरत को तलाक़ हो गई(आलमगीरी)

मसअला :– क़सम खाई कि जब तक शबे क़द्र न गुज़र ले कलाम न करूँगा अगर यह शख़्स आम लोगों में है तो रमज़ान की सत्ताईसवीं रात गुज़रने पर कलाम कर सकता है और अगर जानता हो कि शबे क़द्र में अइम्मा का इख़्तिलाफ़ है तो जब तक क़सम के बाद पूरा रमज़ान न गुज़र ले कलाम नहीं कर सकता यानी अगर रमज़ान से पहले क़सम खाई तो उस रमज़ान के गुज़रने के बाद कलाम कर सकता है और रमज़ान की एक रात गुज़रने के बाद क़सम खाई तो जब तक दूसरा रमज़ान पूरा न गुज़र जाये कलाम नहीं कर सकता (आलमगीरी)

तलाक़ देने और आज़ाद करने की यमीन(क़सम)

मसअला :– अगर कहा कि पहला गुलाम कि ख़रीदूँ आज़ाद है तो उस के कहने के बाद जिस को पहले ख़रीदेगा आज़ाद हो जायेगा और दो गुलाम एक साथ ख़रीदे तो कोई आज़ाद न होगा कि उन में से कोई पहला नहीं और अगर कहा कि पहला गुलाम जिस का मैं मालिक होंगा आज़ाद है और डेढ़ गुलाम का मालिक हुआ तो जो पूरा है आज़ाद है और आधा कुछ नहीं यूँहीं अगर कपड़े की निस्बत कहा कि पहला थान जो ख़रीदूँ सदक़ा है और डेढ़ थान एक साथ ख़रीदा तो एक पूरे को तसद्दुक़ करे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर कहा कि पिछला गुलाम जिस को मैं ख़रीदूँ आज़ाद है और उसके बाद चन्द गुलाम ख़रीदे तो सब में पिछला आज़ाद है और उस का पिछला होना उस वक़्त मालूम होगा जब यह शख़्स मरे उस वास्ते कि जब तक ज़िन्दा है किसी को पिछला नहीं कह सकते और यह अब से आज़ाद न होगा बल्कि जिस वक़्त उसे ख़रीदा है उसी वक़्त से आज़ाद क़रार दिया जायेगा लिहाज़ा अगर सेहत में ख़रीदा जब तो बिलकुल आज़ाद है और मर्ज़ुलमौत में ख़रीदा तो तिहाई माल से आज़ाद होगा और अगर उस कहने के बाद सिर्फ़ एक ही गुलाम ख़रीदा है तो आज़ाद न होगा कि यह पिछला तो जब होगा उस से पहले और भी ख़रीदा होता (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर कहा पहली औरत जो मेरे निकाह में आये उसे तलाक़ है तो इस कहने के बाद जिस औरत से पहले निकाह होगा उसे तलाक़ पड़जायेगी और आधा महर वाजिब होगा।

मसअला :– अगर कहा कि पिछली औरत जो मेरे निकाह में आये उसे तलाक़ है और दो या ज़्यादा निकाह किये तो जिस से आख़िर में निकाह हुआ निकाह होते ही उसे तलाक़ पड़जायेगी मगर उस का इल्म उस वक़्त होगा जब वह शख़्स मरे क्योंकि जब तक ज़िन्दा है यह नहीं कहा जा सकता कि यह पिछली है क्योंकि हो सकता है कि उस के बाद और निकाह कर ले लिहाज़ा उस के मरने के बाद जब मालूम हुआ कि यह पिछली है तो निस्फ़ महर तलाक़ की वजह से पायेगी और अगर वती हुई है तो पूरा महर भी लेगी और उस की इद्दत हैज़ से शुमार होगी और इद्दत में सोग न करेगी और शौहर की मीरास न पायेगी और अगर उस सूरते मज़कूरा में उस ने एक औरत से निकाह किया फिर दूसरी से किया फिर पहली को तलाक़ देदी फिर उस से निकाह किया तो अगर्चे

उस से एक बार निकाह आख़िर में किया है मगर उस को तलाक़ न होगी बल्कि दूसरी को होगी कि जब उस से पहले एक बार निकाह किया तो यह पहली हो चुकी उसे पिछली नहीं कह सकते अगर्चे दो बारा निकाह उस से आख़िर में हुआ है। (बहर, दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– यह कहा कि अगर मैं घर में जाऊँ तो मेरी औरत को तलाक़ है फिर क़सम खाई कि औरत को तलाक़ नहीं देगा उसके बाद घर में गया तो औरत को तलाक़ हो गई मगर क़सम नहीं टूटी और अगर पहले तलाक़ न देने की क़सम खाई फिर यह कहा कि अगर घर में जाऊँ तो औरत को तलाक़ है और घर में गया तो क़सम भी टूटी और तलाक़ भी हो गई (आलमगीरी)

मसअला :– किसी शख़्स को अपनी औरत को तलाक़ देने का वकील बनाया फिर यह क़सम खाई कि औरत को तलाक़ नहीं देगा अब उस क़सम के बाद वकील ने उस की औरत को तलाक़ दी तो क़सम टूट गई यूँहीं अगर औरत से कहा तू अगर चाहे तो तुझे तलाक़ है उस के बाद क़सम खाई कि तलाक़ न देगा क़सम खाने के बाद औरत ने कहा मैंने तलाक़ चाही तो तलाक़ भी होगई और क़सम भी टूटी।

मसअला :– क़सम ख़ाई कि निकाह न करेगा और दुसरे को अपने निकाह का वकील किया तो क़सम टूट जायेगी अगर्चे यह कहे कि मेरा मक़सद यह था कि अपनी ज़बान से ईजाब व क़बूल न करूँगा।

मसअला :– औरत से कहा अगर तू जने तो तुझे तलाक़ है और मुर्दा या कच्चा बच्चा पैदा हुआ तो तलाक़ होगई हाँ अगर ऐसा कच्चा बच्चा पैदा हुआ जिस के अअ़ज़ा न बने हों तो तलाक़ न हुई (बहर)

मसअला :– जो मेरा ग़ुलाम फ़ुलाँ बात की ख़ुशख़बरी सुनाये वह आज़ाद है और मुतफ़र्रिक़ तौर पर कई ग़ुलामों ने आकर ख़बर दी तो पहले जिस ने ख़बर दी है वह आज़ाद होगा कि ख़ुशख़बरी सुनाने के यह मअ़ना हैं कि ख़ुशी की ख़बर देना जिस को वह न जानता हो तो दूसरे और तीसरे ने जो ख़बर दी यह जानने के बाद है लिहाज़ा आज़ाद न होंगे और झूटी ख़बर दी तो कोई आज़ाद न होगा कि झूटी ख़बर को ख़ुशख़बरी नहीं कहते और अगर सब ने एक साथ ख़बर दी तो सब आज़ाद हो जायेंगे (तन्वीरुलअबसार)

ख़रीद व फ़रोख़्त व निकाह वग़ैरा की क़सम

मसअला :– बाज़ अ़क़्द उस क़िस्म के हैं कि उनके हुक़ूक़ उसकी तरफ़ रुजूअ़ करते हैं जिस से वह अ़क़्द सादिर हो उसमें, वकील को उसकी हाजत नहीं कि यह कहे मैं फ़ुलाँ की तरफ़ से यह अ़क़्द करता हूँ जैसे ख़रीदना, बेचना, किराया पर देना, किराया पर लेना और बाज़ फ़ेअ़्ल ऐसे हैं जिन में वकील को मुअक्किल की तरफ़ निस्बत करने की हाजत होती है जैसे मुक़द्दमा लड़ाना कि वकील को कहना पड़ेगा कि यह दअ़्वा मैं अपने फ़ुलाँ मुअक्किल की तरफ़ से करता हूँ और बाज़ फ़ेअ़्ल ऐसे होते हैं जिन में अस्ल फ़ायदा उसी को होता है जो उस फ़ेअ़्ल का महल है यानी जिस पर वह फ़ेअ़्ल वाक़ेअ़् है जैसे औलाद को मारना उन तीनों क़िस्मों में अगर ख़ुद करे तो क़सम टूटेगी और उस के हुक्म से दूसरे ने किया तो नहीं मसलन क़सम खाई कि यह चीज़ मैं नहीं ख़रीदूँगा और दूसरे से ख़रीदवाई या क़सम खाई कि घोड़ा किराया पर नहीं दूँगा और दूसरे से यह काम लिया या दअ़्वा न करूँगा और वकील से दअ़्वा कराया या अपने लड़के को नहीं मारूँगा और दूसरे से मारने को कहा तो इन सब सूरतों में क़सम नहीं टूटी और जो अ़क़्द इस क़िस्म के हैं कि उनके हुक़ूक़ उस के लिए नहीं जिस से वह अ़क़्द सादिर हों कि यह शख़्स महज़ मुतवस्सित

(बिचौलिया) होता है बल्कि हुकूक़ उस के लिए हों जिस ने हुक्म दिया है और जो मुअक्किल है जैसे निकाह, गुलाम आज़ाद करना, हिबा, सदक़ा, वसियत, क़र्ज़ लेना, अमानत रखना, आरियत देना, आरियत लेना या जो फ़ेअ्ल ऐसे हों कि उन का नफ़अ् और मसलिहत हुक्म करने वाले के लिए है जैसे गुलाम को मारना, ज़िबह करना, दैन का तक़ाज़ा, दैन का क़ब्ज़ा करना, कपड़ा पहनना, कपड़ा सिलवाना, मकान बनवाना, तो इस सब में ख़्वाह खुद कर ले या दूसरे से कराये बहर हाल क़सम टूट जायेगी मसलन क़सम खाई कि निकाह नहीं करेगा और किसी को अपने निकाह का वकील कर दिया उस वकील ने निकाह कर दिया या हिबा व सदक़ा व वसियत और क़र्ज़ लेने के लिए दूसरे को वकील किया और वकील ने यह काम अन्जाम दिये या क़सम खाई कि कपड़ा नहीं पहनेगा और दूसरे से कहा उस ने पहना दिया या क़सम खाई कि कपड़े नहीं सिलवायेगा उस के हुक्म से दूसरे ने सिलवाये या मकान नहीं बनायेगा और उस के हुक्म से दूसरे ने बनाया तो क़सम टूट गई (फ़त्हुलक़दीर वग़ैरा)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ चीज़ नहीं ख़रीदेगा या नहीं बेचेगा और नियत यह है कि न खुद अपने हाथ से ख़रीदे बेचेगा न दूसरे से यह काम लेगा और दूसरे से ख़रीदवाई या बेचवाई तो क़सम टूट गई कि ऐसी नियत कर के उस ने खुद अपने ऊपर और सख़्ती कर ली यूँहीं अगर ऐसी नियत तो नहीं है मगर यह क़सम खाने वाला उन लोगों में है कि ऐसी चीज़ अपने हाथ से ख़रीदते बेचते नहीं हैं तो अब भी दूसरे से ख़रीदवाने बेचवाने से क़सम टूट जायेगी और अगर वह शख़्स कभी खुद ख़रीदता और कभी दूसरे से ख़रीदवाता है तो अगर अकसर खुद ख़रीदता है तो वकील के ख़रीदने से नहीं टूटेगी और अगर अकसर ख़रीदवाता है तो टूट जायेगी (बहर आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ चीज़ नहीं ख़रीदेगा या नहीं बेचेगा और दूसरे की तरफ़ से ख़रीदी या बेची तो क़सम टूट गई (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि नहीं ख़रीदेगा या नहीं बेचेगा और बैअ् फ़ासिद के साथ ख़रीदी या बेची तो क़सम टूट गई अगर्चे क़ब्ज़ा न हो यूँहीं अगर बाइअ् (बेचने वाला) या मुश्तरी (ख़रीदार)ने इख़्तियार वापसी का अपने लिए रखा हो जब भी क़सम टूट गई हिबा, व इजारा का भी यही हुक्म है कि फ़ासिद से भी क़सम टूट जायेगी (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि यह चीज़ नहीं बेचेगा और उस को किसी मुआविज़ा की शर्त पर हिबा कर दिया और दोनों जानिब से क़ब्ज़ा भी हो गया तो क़सम टूट गई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– सूरते मज़कूरा में अगर बैअ् बातिल के ज़रिआ से ख़रीदी या बेची या ख़रीदने के बाद क़सम खाई कि उसे नहीं बेचेगा और वह चीज़ बाइअ् (बेचने वाले) को फ़ेर दी या ऐब ज़ाहिर हुआ और फ़ेर दी तो क़सम नहीं टूटी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि नहीं बेचेगा और किसी शख़्स ने बे उस के हुक्म के बेचदी और उस ने उस को जाइज़ कर दिया तो क़सम नहीं टूटी हाँ अगर वह क़सम खाने वाला ऐसा है कि खुद अपने हाथ से ऐसी चीज़ नहीं बेचता है तो टूट गई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि बेचने के लिए ग़ल्ला न ख़रीदेगा और घर के ख़र्च के लिए ख़रीदा फिर किसी वजह से बेचडाला तो क़सम नहीं टूटी (बहर)

मसअला :– क़सम खाई कि मकान नहीं बेचेगा और उसे औरत के महर में दिया उस में दो सूरतें हैं एक यह कि यह मकान ही महर हो कि निकाह में यह कहा हो कि ब एवज़ उस मकान के तेरे निकाह में दी जब तो नहीं टूटी और अगर रुपये का महर बन्धा था मसलन इतने सौ या इतने हज़ार रुपये दैन महर के एवज़ तेरे निकाह में दी और रुपये के एवज उस ने मकान देदिया तो क़सम टूट गई (बहर रदुल मुहतार)

मसअला : – क़सम खाई कि फ़ुलाँ से नहीं ख़रीदेगा और उस से बैअ् सलम के ज़रिआ से कोई चीज़ ख़रीदी तो क़सम टूट गई (बहर)

मसअला :– क़सम खाई कि यह जानवर बेचडालेगा और वह चोरी हो गया तो जबतक उसके मरने का यक़ीन न हो क़सम नहीं टूटेगी (आलमगीरी)

मसअला :– किसी चीज़ का भाव किया बाइअ् (बेचने वाला) ने कहा मैं बारह रुपये से कम में नहीं दूँगा उस ने कहा अगर मैं बारह रुपया में लूँ तो मेरी औरत को तलाक़ है फिर वही चीज़ तेरह में या बारह रुपये और कोई कपड़ा वग़ैरा रुपये पर इज़ाफ़ा कर के ख़रीदी यानी बाराह से ज़्यादा दिये तो तलाक़ हो गई और अगर ग्यारा रुपये और उन के साथ कुछ कपड़ा वग़ैरा दिया तो नहीं(आलमगीरी)

मसअला :– क़सम खाई कि कपड़ा नहीं ख़रीदेगा और कमली या टाट या बिछौना या टोपी या क़ालीन ख़रीदा तो क़सम नहीं टूटी और अगर क़सम खाई कि नया कपड़ा नहीं ख़रीदेगा तो इस्तिमाली कपड़ा धुला हुआ भी ख़रीदने से क़सम टूट जायेगी (बहर)मगर बाज़ कपड़े इस ज़माने में ऐसे हैं कि उन के धुलने की नोबत नहीं आती वह अगर इतने इस्तिमाली हैं कि उन्हें पुराना कहते हों तो पुराने हैं।

मसअला :– क़सम खाई कि सोना चाँदी नहीं ख़रीदूँगा और उन के बर्तन या ज़ेवर ख़रीदे तो क़सम टूट गई और रुपया या अशरफ़ी ख़रीदी तो नहीं कि उन के ख़रीदने को उ़र्फ़ में सोना चाँदी ख़रीदना नहीं कहते यूँहीं क़सम खाई कि ताँबा नहीं ख़रीदेगा और पैसे मोल लिए तो नहीं टूटी(बहर)

मसअला :– क़सम खाई कि जौ न ख़रीदेगा और गेहूँ ख़रीदे उन में कुछ दाने जौ के भी हैं तो क़सम नहीं टूटी यूंहीं अगर ईंट, तख़्ता, कड़ी वग़ैरा के न ख़रीदने की क़सम खाई और मकान ख़रीदा जिस में यह सब चीज़ें हैं तो नहीं टूटी (आलमगीरी)

मसअला :– क़सम खाई कि गोश्त नहीं ख़रीदेगा और ज़िन्दा बकरी ख़रीदी या क़सम खाई कि दूध नहीं ख़रीदेगा और बकरी वग़ैरा कोई जानवर ख़रीदा जिस के थन में दूध है तो क़सम नहीं टूटी(बहर)

मसअला :– क़सम खाई कि पीतल या ताँबा नहीं ख़रीदेगा और उन के बर्तन तश्त वग़ैरा ख़रीदे तो क़सम टूट गई (बहर)

मसअला :– क़सम खाई कि तेल नहीं ख़रीदेगा और नियत कुछ न हो तो वह तेल मुराद लिया जायेगा जिस के इस्तिमाल की वहाँ आ़दत हो ख़्वाह खाने में या सर के डालने में (बहर)

मसअला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ औरत से निकाह न करेगा और निकाहे फ़ासिद किया मसलन बग़ैर गवाहों के या इद्दत के अन्दर तो क़सम नहीं टूटी कि निकाहे फ़ासिद,निकाह नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– क़सम खाई कि लड़के या लड़की का निकाह न करेगा और नाबालिग़ हों तो खुद करे या दूसरे को वकील कर दे दोनों सूरतों में क़सम टूट गई और बालिग़ हों तो खुद पढ़ाने से टूटेगी दूसरे को वकील करने से नहीं (दुर्रे मुख़्तार, रदुल मुहतार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि निकाह न करेगा फिर यह पागल या बोहरा हो गया और उस के बाप ने निकाह कर दिया तो क़सम नहीं टूटी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि निकाह न करेगा और क़सम से पहले फ़ुज़ूली ने निकाह किया था और बाद क़सम उस ने निकाह को जाइज़ कर दिया तो नहीं टूटी और क़सम के बाद फ़ज़ूली ने निकाह कर दिया है तो अगर क़ौल से जाइज़ करेगा टूट जायेगी और फ़ेअ्ल से जाइज़ किया मसलन औरत के पास महर भेजदिया तो नहीं टूटी और अगर फ़ुज़ूली या वकील ने निकाहे फ़ासिद किया है तो नहीं टूटेगी (आलमीगरी)

मसअ्ला :– निकाह न करने की क़सम खाई और किसी ने मजबूर कर के निकाह कराया तो क़सम टूट गई (खानिया)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि इतने से ज़्यादा महर पर निकाह न करेगा और उतने ही पर निकाह किया बाद को महर में इज़ाफ़ा कर दिया तो क़सम नहीं टूटी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई पोशीदा निकाह करेगा और दो गवाहों के सामने निकाह किया तो नही टूटी और तीन के सामने किया तो टूट गई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ को क़र्ज़ न देगा और बग़ैर माँगे उस ने क़र्ज़ दिया उस ने लेने से इन्कार कर दिया जब भी क़सम टूट गई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ से कोई चीज़ आ़रियत न लेगा उस ने अपने घोड़े पर उसे बिठा लिया तो नहीं टूटी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि इस क़लम से नहीं लिखेगा और उसे तोड़ कर दोबारा बनाया और लिखा क़सम टूट गई कि उ़र्फ़ में उस टूटे हुए को भी क़लम कहते हैं (रद्दुल मुहतार)

नमाज़ रोज़ा हज की क़सम का बयान

मसअ्ला : – नमाज़ न पढ़ने या रोज़े न रखने या हज न करने की क़सम खाई और फ़ासिद अदा किया तो क़सम नहीं टूटी जब कि शुरूअ् ही से फ़ासिद हो मसलन बग़ैर तहारत नमाज़ पढ़ी या तुलूअ् फज्र के बाद खाना खाया और रोज़ा की नियत की और अगर शुरूअ् सेहत के साथ किया बाद को फासिद कर दिया मसलन एक रकअ़त नमाज़ पढ़कर तोड़दी या रोज़ा रख कर तोड़ दिया अगर्चे नियत करने के थोड़े ही बाद तोड़ दिया तो क़सम टूट गई (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– नमाज़ न पढ़ने की क़सम खाई और क़याम व क़िरात व रुकूअ् कर के तोड़दी तो क़सम नहीं टूटी और सजदे कर के तोड़ी तो टूट गई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि ज़ुहर की नमाज़ न पढ़ेगा तो जबतक क़अ्दा–ए–आख़िरा में अत्तहियात न पढ़ ले क़सम न टूटेगी यानी उस से क़ब्ल फ़ासिद करने में क़सम नहीं टूटी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि किसी की इमामत न करेगा और तन्हा शुरूअ् कर दी फिर लोगों ने उस की इक़तिदा कर ली मगर उसने इमामत की नियत न की तो मुक़तदीयों की नमाज़ हो जायेगी अगर्चे जुमअ़ा की नमाज़ हो और उस की क़सम न टूटी यूँहीं अगर जनाज़ा या सजदा–ए–तिलावत में लोगों ने उसकी इक़्तिदा, की जब भी क़सम न टूटी और अगर क़सम के यह लफ़्ज़ हों कि नमाज़ में इमामत न करूँगा तो नमाज़े जनाज़ा में इमामत की नियत से भी नहीं टूटेगी (दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ेगा और उस की इक़्तिदा की मगर पीछे खड़ा न हुआ बल्कि बराबर दाहिने या बायें खड़े हो कर नमाज़ पढ़ी या क़सम खाई कि फ़ुलाँ के साथ नमाज़ न पढ़ेगा और उस की इक़्तिदा की अगर्चे साथ न खड़ा हुआ बल्कि पीछे खड़ा हुआ क़सम टूट गई (बहर)

मसअला :– क़सम खाई कि नमाज़ वक़्त गुज़ार कर न पढ़ेगा और सो गया यहाँ तक कि वक़्त ख़त्म हो गया अगर वक़्त आने से पहले सोया और वक़्त जाने के बाद आँख खुली तो क़सम नहीं टूटी और वक़्त हो जाने के बाद सोया तो टूट गई (रद्दुल मुहतार)

मसअला : – क़सम खाई कि फ़ुलाँ नमाज़ जमाअत से पढ़ेगा और आधी से कम जमाअत से मिली यानी चार, तीन या तीन रकअ़त वाली में एक रकअ़त जमाअत से पाई क़अ़दा में शरीक हुआ तो क़सम टूट गई अगर्चे जमाअ़त का सवाब पायेगा (शरह वक़ाया)

मसअला :– औरत से कहा अगर तू नमाज़ छोड़ेगी तो तुझ को तलाक़ और नमाज़ क़ज़ा हो गई मगर पढ़ ली तो तलाक़ न हुई कि उ़र्फ़ में नमाज़ छोड़ना उसे कहते हैं कि बिल्कुल न पढ़े अगर्चे शरअ़न क़स्दन क़ज़ा कर देने को भी छोड़ना कहते हैं (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– क़सम खाई कि इस मस्जिद में नमाज़ न पढ़ेगा और अगर मस्जिद बढ़ाई गई उस ने उस हिस्से में नमाज़े पढ़ी जो अब ज़्यादा किया गया है तो क़सम नहीं टूटी अगर क़सम में यह कहा फ़ुलाँ महल्ला या फ़ुलाँ शख़्स की मस्जिद में नमाज़ न पढ़ेगा और मस्जिद में कुछ इज़ाफ़ा हुआ उस ने उस जगह पढ़ी जब भी टूट गई (बहर)

लिबास के मुतअ़ल्लिक़ क़सम का बयान

मसअला :– क़सम खाई कि अपनी औरत के काते हुए सूत का कपड़ा न पहनेगा और औरत ने सूत काता और वह बुनकर कपड़ा तैय्यार हुआ **और अगर** वह रूई जिस का सूत बना है क़सम खाते वक़्त शौहर की थी तो पहनने से क़सम टूट गई वरना नहीं अगर क़सम खाई कि फ़ुलाँ के काते हुए सूत का कपड़ा न पहनेगा और कुछ उसका काता है और कुछ दूसरे का दोनों को मिला कर कपड़ा बुनवाया तो क़सम न टूटी और अगर कुल सूत उसी का काता हुआ है दूसरे के काते हुए डोरे से कपड़ा सिया गया है तो क़सम टूट गई (बहर, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अंगरखा, अचकन, शेरवानी तीनों में फ़र्क़ है लिहाज़ा अगर क़सम खाई कि शेरवानी न पहनेगा तो अंगरखा पहनने से क़सम न टूटी यूँहीं क़मीस और कुर्ते में भी फ़र्क़ है लिहाज़ा एक की क़सम खाई और दूसरा पहना तो क़सम नहीं टूटी अगर्चे अ़रबी में क़मीस कुर्ते को कहते हैं यूँहीं पतलून और पाजामा में भी फ़र्क़ है अगर्चे अंग्रेज़ी में पतलून पाजामा ही को कहते हैं यूँहीं बूट न पहनने की क़सम खाई और हिन्दुस्तानी जूता पहना क़सम न टूटी कि उस को बूट नहीं कहते।

मसअला :– क़सम खाई कि कपड़ा नहीं पहनेगा या नहीं ख़रीदेगा तो मुराद इतना कपड़ा है जिस से सतर छुपा सकें और उस को पहनकर नमाज़ जाइज़ हो सके तो टूट गई वरना नहीं यूँहीं टाट या दरी या क़ालीन पहन लेने या ख़रीदने से क़सम न टुटेगी और पोस्तीन से टूट जायेगी और अगर क़सम खाई कि कुर्ता न पहनेगा और उस सूरत में कुर्ते को तहबन्द की तरह बाँध लिया या चादर की तरह ओढ़ लिया तो नहीं टूटी और अगर कहा कि यह कुर्ता नहीं पहनेगा तो किसी तरह पहने क़सम टूट जायेगी (बहर, रद्दुल, मुहतार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि ज़ेवर नहीं पहनेगा तो चाँदी सोने के हर क़िस्म के गहने और मोतियों या जवाहिर के हार और सोने की अँगूठी पहनने से क़सम टूट जायेगी और चाँदी की अँगूठी से नहीं जब कि एक नग की हो और कई नग की हो तो उस से भी टूट जायेगी यूँहीं अगर उस पर सोने का मुलम्मा (सोने का पानी चढ़ा हुआ) हो तो टूट जायेगी (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि ज़मीन पर नहीं बैठेगा और ज़मीन पर कोई चीज़ बिछाकर बैठा मसलन तख़्ता या चमड़ा या बिछौना या चटाई तो क़सम नहीं टूटी और अगर्चे बग़ैर बिछाये हुए बैठ गया अगर्चे कपड़ा पहने हुए है जिस की वजह से उसका बदन ज़मीन से न लगा तो क़सम टूट गई और अगर कपड़े उतार कर ख़ुद उस कपड़े पर बैठा तो नहीं टूटी कि उसे ज़मीन पर बैठना न कहेंगे और अगर घास पर बैठा तो नहीं टूटी जब कि ज़्यादा हो (दुर्रे मुख़्तार रदुल मुहतार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि इस बिछौने पर नहीं सोयेगा और उस पर दूसरा बिछौना और बिछा दिया और उस पर सोया तो क़सम नहीं टूटी और अगर सिर्फ़ चादर बिछाई तो टूट गई उस चटाई पर न सोने की क़सम खाई थी उस पर दूसरी चटाई बिछा कर सोया तो नहीं टूटी और अगर यूँ कहा था कि बिछौने पर नहीं सोयेगा तो अगर्चे उस पर दूसरा बिछौना बिछा दिया हो टूट जायेगी

मसअ्ला :– क़सम खाई कि उस तख़्त पर नहीं बैठेगा और उस पर दूसरा तख़्त बिछा लिया तो नहीं टूटी और बिछौना या बोरिया बिछा कर बैठा तो टूट गई हाँ अगर यूँ कहा कि उस तख़्त के तख़्तों पर न बैठेगा तो उस पर बिछा कर बैठने से नहीं टूटेगी (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि ज़मीन पर नहीं चलेगा तो जूते या मौज़े पहनकर या पत्थर पर चलने से टूट जायेगी और बिछौने पर चलने से नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ के कपड़े या बिछौने पर नहीं सोयेगा और बदन का ज़्यादा हिस्सा उस पर कर के सो गया टूट गई (दुर्रे मुख़्तार)

मारने के मुतअ़ल्लिक़ क़सम का बयान

मसअ्ला :– जो फ़ेअ्ल ऐसा है कि उस में मुर्दा व ज़िन्दा दोनों शरीक हैं यानी दोनों के साथ मुतअल्लिक़ हो सकता है तो उस में ज़िन्दगी व मौत दोनों हालतों में क़सम का एअ्तिबार है जैसे नहलाना कि ज़िन्दा को भी नहला सकते हैं और मुर्दा को भी और जो फ़ेअ्ल ऐसा है कि ज़िन्दगी के साथ ख़ास है उस में ख़ास ज़िन्दगी की हालत का एअ्तिबार होगा मरने के बाद करने से क़सम टूट जायेगी यानी जब कि उस फ़ेअ्ल के करने की क़सम खाई और अगर न करने की कसम खाई और मरने के बाद वह फ़ेअ्ल किया तो नहीं टूटेगी जैसे वह फ़ेअ्ल जिस से लज़्ज़त या रन्ज या ख़ुशी होती है कि ज़ाहिर में यह ज़िन्दगी के साथ ख़ास हैं अगर्चे शरअ़न मुर्दा भी बाज़ चीज़ों से लज़्ज़त पाता है और उसे भी रन्ज व ख़ुशी होती है मगर ज़ाहिर में निगाहें उस के इदराक (जान लेने) से क़ासिर हैं और क़सम का मदार हक़ीक़ते शरईया पर नहीं बल्कि उर्फ़ पर है लिहाज़ा ऐसे अफ़आल में ख़ास ज़िन्दगी की हालत मोअ्तबर है उस कायदा के मुतअ़ल्लिक़ बाज़ मिसालें सुनो मसलन क़सम खाई कि फ़ुलाँ को नहीं नहलायेगा या नहीं उठायेगा या कपड़ा नहीं पहनायेगा और मरने के बाद उसे ग़ुस्ल दिया या उस का जनाज़ा उठाया या उसे कफ़न पहनाया तो क़सम टूट गई कि यह फ़ेअ्ल उस की ज़िन्दगी के साथ ख़ास न थे और अगर क़सम खाई कि फ़ुलाँ को मारूँगा या उस से कलाम करूँगा या उस की मुलाक़ात को जाऊँगा या उसे प्यार करूँगा और यह

अफ़आल उस के मरने के बाद किए यानी उसे मारा या उस से कलाम किया या उस के जनाज़ा या क़ब्र पर गया या उसे प्यार किया तो क़सम टूट गई कि अब वह अफ़आल का महल न रहा

मसअला :– क़सम खाई कि अपनी औरत को नहीं मारेगा और उसके बाल पकड़ कर खींचे या उस का गला घोंट दिया या दाँत से काट लिया या चुटकी ली अगर यह अफ़आल गुस्सा में हुए तो क़सम टूटगई और अगर हँसी हँसी में ऐसा हुआ तो नहीं यूँहीं अगर दिल लगी में मर्द का सर औरत के सर से लगा और औरत का सर टूट गया तो क़सम नहीं टूटी (आलमगीरी बहर)

मसअला :– क़सम खाई कि तुझे इतना मारूँगा कि मरजाये हज़ारों घूँसे मारूँगा तो इस से मुराद मुबालग़ा है न कि मार डालना या हज़ारों घूँसे मारना अगर कहा कि मारते मारते बेहोश कर दूँगा या इतना मारूँगा कि रोने लगे या चिल्लाने लगे या पेशाब कर दे तो क़सम उस वक़्त सच्ची होगी कि जितना कहा उतना ही मारे और अगर कहा कि तलवार से मारूँगा यहाँ तक कि मरजाये तो यह मुबालग़ा नहीं बल्कि मारडालने से क़सम पूरी होगी। (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– क़सम खाई कि उसे तलवार से मारूँगा और नियत कुछ न हो और तलवार पट करके उसे मारी तो क़सम पूरी होगई और तलवार म्यान में थी वैसे ही म्यान समीत उसे मारदी तो क़सम पूरी न हुई हाँ अगर तलवार ने म्यान को काट कर उस शख़्स को ज़ख़्मी कर दिया तो क़सम पूरी हो गई और और अगर नियत यह है कि तलवार की धारकी तरफ़ से मारेगा तो पट कर के मारने से क़सम पूरी न हुई और अगर क़सम खाई कि उसे कुल्हाड़ी या तीर से मारूँगा और उसके बेंट से मारा तो क़सम पूरी न हुई (आलमगीरी, बहर)

मसअला :– क़सम खाई कि सौ कोड़े मारूँगा और सौ कोड़े जमअ् (इकठ्ठा) कर के एक मरतबा में मारा कि सब उस के बदन पर पड़े तो क़सम सच्ची हो गई जब कि उसे चोट भी लगे और अगर सिर्फ़ छुआ दिया कि चोट न लगी तो क़सम पूरी न हुई (बहर)

मसअला :– किसी से कहा अगर तुम मुझे मिले और मैंने तुम्हें न मारा तो मेरी औरत को तलाक़ है और वह शख़्स एक मील के फ़ासिला से उसे दिखाई दिया या वह छत पर है और यह उस पर चढ़ नहीं सकता तो तलाक़ वाकेअ् न हुई (आलमगीरी)

अदाऐ दैन वग़ैरा के मुतअ़ल्लिक़ क़सम का बयान

मसअला :– क़सम खाई कि उस का कर्ज़ फ़लाँ रोज़ अदा कर दूँगा और खोंटे रुपये या बड़ी गोली का रुपया जो दुकान्दार नहीं लेते उस ने कर्ज़ में दिया तो क़सम नहीं टूटी और अगर उस रोज़ रुपया लेकर उस के मकान पर आया मगर वह मिला नहीं तो क़ाज़ी के पास इतने करीब रख दिये कि लेना चाहे तो हाथ बढ़ा कर ले सकता है तो क़सम पूरी होगई (दुर्रे मुख़्तार, बहर)

मसअला :– क़सम 'खाई कि फुलाँ रोज़ उस के रुपये अदा करूँगा और वक़्त पूरा होने से पहले उस ने मुआफ़ कर दिया या उस दिन के आने से पहले ही उस ने अदा कर दिया तो क़सम नहीं टूटी यूँहीं अगर क़सम खाई कि यह रोटी कल खायेगा और आज ही खाली तो क़सम नहीं टूटी अगर कर्ज़ ख़्वाह ने क़सम खाई कि फुलाँ रोज़ रुपया वुसूल करलूँगा और उस दिन के पहले मुआफ़ कर दिया या हिबा कर दिया तो नहीं टूटी और अगर दिन मुक़र्रर न किया तो टूट गई (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी)

मसअला :– क़र्ज़ ख़्वाह ने क़सम खाई कि बग़ैर अपना हक़ लिए तुझे न छोडूँगा फिर कर्ज़दार से अपने रुपये के बदले में कोई चीज़ ख़रीदली और चला गया तो क़सम नहीं टूटी यूँहीं अगर किसी

औरत पर रुपये थे और क़सम खाई कि बग़ैर हक़ लिए न हटूँगा और वहीं रहा यहाँ तक कि उस रुपये को महर क़रार देकर औरत से निकाह कर लिया तो क़सम नहीं टूटी (बहर)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि बग़ैर अपना लिए तुझ से जुदा न होंगा तो अगर वह ऐसी जगह है कि यह उसे देख रहा है और उस की हिफ़ाज़त में है तो अगर्चे कुछ फ़ासिला हो मगर जुदा होना न पाया गया यूँहीं अगर मस्जिद का सुतून दरमियान में हाइल हो या एक मस्जिद के अन्दर हो दूसरा बाहर और मस्जिद का दरवाज़ा खुला हुआ है कि उसे देखता है तो जुदा न हुआ और अगर मस्जिद की दीवार दरमियान में हाइल है कि उसे नहीं देखता और एक मस्जिद में है और दूसरा बाहर तो जुदा हो गया और क़सम टूट गई और अगर क़र्ज़दार को मकान में कर के बाहर से ताला बन्द कर दिया और दरवाज़ा पर बैठा है और कुंजी उस के पास है तो जुदा न हुआ और अगर क़र्ज़दार ने उसे पकड़ कर मकान में बन्द कर दिया और कुंजी क़र्ज़दार के पास है तो क़सम टूटगई (बहर)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि अपना रुपया उस से वुसूल करूँगा तो इख़्तियार है कि ख़ुद वुसूल करे या उस का वकील और ख़्वाह ख़ुद उसी से ले या उस के वकील या ज़ामिन से या उस से जिस पर उस ने हवाला कर दिया बहर हाल क़सम पूरी हो जायेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़र्ज़ख़्वाह क़र्ज़दार के दरवाज़े पर आया और क़सम खाई कि बग़ैर लिए न हटूँगा और क़र्ज़दार ने आकर उसे धक्का देकर हटा दिया मगर उस के ढकेलने से हटा ख़ुद अपने क़दम से न चला और जब उस जगह से हटा दिया गया अब उस के बाद बग़ैर लिए चला गया तो क़सम नहीं टूटी कि वहाँ से ख़ुद न हटा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि मैं अपना कुल रुपया एक दफ़अ् लूँगा थोड़ा थोड़ा नहीं लूँगा और एक ही मज्लिस में दस दस या पच्चीस पच्चीस गिन गिन कर उसे देता गया और यह लेता गया तो क़सम नहीं टूटी यानी गिनने में जो वक़्फ़ा हुआ उस का क़सम में एअ्तिबार नहीं और उस को थोड़ा थोड़ा लेना न कहेंगे और अगर थोड़े थोड़े रुपये लिए तो क़सम टूट जायेगी मगर जबतक कि कुल रुपया पर क़ब्ज़ा न कर ले नहीं टूटेगी यानी जिस वक़्त सब रुपये पर क़ब्ज़ा हो जायेगा उस वक़्त टूटेगी उस से पहले अगर्चे कई मर्तबा थोड़े थोड़े लिए हैं मगर क़सम नहीं टूटी थी(आलमगीरी दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला :– किसी ने कहा अगर मेरे पास माल हो तो औरत को तलाक़ है और उसके पास मकान और असबाब हैं जो तिजारत के लिए नहीं तो तलाक़ न हुई (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़सम ख़ाई कि यह चीज़ फ़लाँ को हिबा करूँगा और उस ने हिबा किया मगर उस ने क़बूल न किया तो क़सम सच्ची हो गई और अगर क़सम खाई कि उस के हाथ बेचूँगा और उस ने कहा कि मैंने यह चीज़ तेरे हाथ बेची मगर उस ने क़बूल न की तो क़सम टूट गई (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि ख़ुश्बू न सूँघेगा और बिला क़स्द नाक में गई तो क़सम नहीं टूटी और क़स्दन सूँघी तो टूट गई (बहर वग़ैरा)

मसअ्ला :– क़सम खाई कि फ़ुलाँ शख़्स जो हुक्म देगा बजा लाऊँगा और जिस चीज़ से मनअ् करेगा बाज़ रहूँगा और उस ने बीवी के पास जाने से मनअ् कर दिया और यह नहीं माना वहाँ कोई क़रीना ऐसा था जिस से यह समझा जाता हो कि उस से मनअ् करेगा तो उस से भी बाज़ आऊँगा जब तो क़सम टूट गई वरना नहीं। (आलमगीरी)

हुदूद का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है।

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَ لَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا يَزْنُوْنَ ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ۙ يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ يَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا ۙ اِلَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صٰلِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۙ

तर्जमा :–"और अल्लाह के बन्दे वह कि खुदा के साथ दूसरे मअ्बूद को शरीक नहीं करते और उस जान को क़त्ल नहीं करते जिसे खुदा ने हराम किया और ज़िना नहीं करते और जो यह काम करे वह सज़ा पायेगा क़ियामत के दिन उस पर अज़ाब बढ़ाया जायेगा और हमेशा ज़िल्लत के साथ उस में रहेगा मगर जो तौबा करे और ईमान लाये और अच्छा काम करे तो अल्लाह उन की बुराईयों को नेकियों के साथ बदल देगा और अल्लाह बख़्शने वाला महरबान है"।

"और फ़रमाता है।".

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ.

तर्जमा :– "जो लोग अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करते हैं मगर अपनी बीवियों या बांदियों से उन पर मलामत नहीं और जो इस के सिवा कुछ और चाहे तो वह हद से गुज़रने वाले हैं"।

और फ़रमाता है।

وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَ سَآءَ سَبِيْلًا

तर्जमा :– "ज़िना के क़रीब न जाओ कि वह बेहायाई है और बुरी राह है"।

"और फ़रमाता है।"

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۪ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

तर्जमा :– " औरत ज़ानिया और मर्द ज़ानी उन में हर एक को सौ कोड़े मारो और तुम्हें उन पर तर्स न आये अल्लाह के दीन में अगर तुम अल्लाह और पिछले दिन (क़ियामत) पर ईमान रखते हो और चाहिए कि उन की सज़ा के वक़्त मुसलमानों का एक गिरोह हाज़िर हो"।

और फ़रमाता है। وَ لَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَ مَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

तर्जमा :– "अपनी बान्दियों को ज़िना पर मजबूर न करो अगर वह पारसाई चाहें (इस लिए मजबूर करते हो)कि दुनिया की ज़िन्दगी का कुछ सामान हासिल करो और जो उन को मजबूर करे तो बाद इस के कि मजबूर की गई अल्लाह उन को बख़्शने वाला और मेहरबान है"।

हदीस न.1 :– इब्ने माजा अब्दुल्ला बिन उमर और नसाई अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हुदूद में से किसी हद का क़ाइम करना चालीस रात की बारिश से बेहतर है।

हदीस न.2 :— इब्ने माजा, इबादा इब्ने सामित रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह की हुदूद को क़रीब व बईद सब में क़ाइम करो और अल्लाह के हुक्म बजालाने में मलामत करने वाले की मलामत तुम्हें न रोके।

हदीस न.3 :— बुख़ारी व मुस्लिम व अबूदाऊद व तिर्मिज़ी व नसाई इब्ने माजा उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रावी कि एक मख़्ज़ूमिया औरत ने चोरी की थी जिसकी वजह से कुरैश को फ़िक्र पैदा हो गई (कि उसे किस तरह हद से बचाया जाये)आपस में लोगों ने कहा कि इस के बारे में कौन शख़्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सिफ़ारिश करेगा फिर लोगों ने कहा सिवाएं उसामा इब्ने ज़ैद रदियल्लाहु तआला अन्हुमा के जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के महबूब हैं कोई शख़्स सिफ़ारिश करने की जुरअत नहीं कर सकता ग़र्ज़ उसामा ने सिफ़ारिश की इस पर हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया कि तू हद के बारे में सिफ़ारिश करता है फिर हुज़ूर ख़ुत्बा के लिए खड़े हुए और उस ख़ुतबा में यह फ़रमाया कि अगले लोगों को इस बात ने हलाक किया कि अगर उन में कोई शरीफ़ चोरी करता तो उसे छोड़ देते और जब कमज़ोर चोरी करता तो उस पर हद क़ाइम करते क़सम है ख़ुदा की अगर फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला, अलैहि वसल्लम (वलअयाज़ु बिल्लाहि तआला)चोरी करती तो उस का भी हाथ काट देता।

हदीस न.4 :— इमाम अहमद व अबूदाऊद व अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि को फ़रमाते सुना कि जिस की सिफ़ारिश हद क़ाइम करने में हाइल हो जाये उस ने अल्लाह की मुख़ालिफ़त की और जो जानकर बातिल के बारे में झगड़े वह हमेशा अल्लाह तआला की नाराज़ी में है जब तक उस से जुदा न हो जाये और जो शख़्स मोमिन के मुतअल्लिक ऐसी चीज़ कहे जो उस में न हो अल्लाह तआला उसे रोग़तुल ख़बाल में उस वक़्त तक रखेगा जब तक उस के गुनाह की सज़ा पूरी न होले रोग़तुल ख़बाल जहन्नम में एक जगह है जहाँ जहन्नमियों का ख़ून और पीप जमअ़ होगा।

हदीस न.5 :— अबू दाऊद व नसाई बरिवायत अम्र इब्ने शोऐब अन अबीहे अन ज़द्देही रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हद को आपस में तुम मुआफ़ कर सकते हो यानी जब तक उस का मुक़द्दमा मेरे पास पेश न हो तुम्हें दर गुज़र करने का इख़्तियार है और मेरी ख़िदमत में पहुँचने के बाद वाजिब हो जायेगी (यानी अब ज़रूर क़ाइम होगी)

हदीस न.6 :— अबूदाऊद व उम्मुलमोमिनीन आइशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया(ऐ अइम्मा)इज़्ज़त दारों की लग़ज़िशें दफ़अ़ कर दो मगर हुदूद कि उन को दफ़अ़ नहीं कर सकते।

हदीस न.7 :— बुख़ारी व मुस्लिम अबूहुरैरा व ज़ैद इब्ने ख़ालिद रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि दो शख़्सों ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में मुक़द्दमा पेश किया एक ने कहा हमारे दरमियान किताबुल्लाह के मुवाफ़िक़ फ़ैसला फ़रमायें दूसरे ने भी कहा या रसूलल्लाह किताबुल्लाह के मुवाफ़िक़ फ़ैसला कीजिए और मुझे अर्ज़ करने की इजाज़त दीजिए इरशाद फ़रमाया अर्ज़ करो उस ने कहा मेरा लड़का इस के यहाँ मज़दूर था उस ने इस की औरत से ज़िना किया लोगों ने मुझे ख़बर दी कि मेरे लड़के पर रजम है मैंने सौ बकरियाँ और एक कनीज़ अपने लड़के के फ़िदया में दी फिर जब मैंने अहले इल्म से सवाल किया तो उन्होंने ख़बरदी

कि मेरे लड़के पर सौ कोड़े मारे जायेंगे और एक साल के लिए जिलावतन किया जायेगा और इसकी औरत पर रजज्म है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया क़सम है उस की जिस के क़ब्ज़ा–ए–क़ुदरत में मेरी जान है मैं तुम दोनों में किताबुल्लाह से फ़ैसला करूँगा बकरियाँ और कनीज़ वापस की जायें और तेरे लड़के को सौ कोड़े मारे जायेंगे और एक साल को शहर बदर किया जाये उसके बाद अनीस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मुख़ातब हो कर फ़रमाया)ऐ अनीस सुबह को तुम उस की औरत के पास जाओ वह इक़रार करे तो रज्म करो औरत ने इक़रार किया और उस को रज्म किया।

हदीस न.8 :– सहीह बुख़ारी शरीफ़ में ज़ैद इब्ने ख़ालिद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हुक्म फ़रमाते सुना कि जो शख़्स ज़िना करे और मुहस्सिन न हो उसे सौ कोड़े मारे जायें और एक बरस के लिए शहर बदर कर दिया जाये।

हदीस न.9 :– बुख़ारी व मुस्लिम रावी कि अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने ख़त्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया अल्ला तआला ने मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ मबऊस फ़रमाया और उन पर किताब नाज़िल फ़रमाई और अल्लाह तआला ने जो किताब नाज़िल फ़रमाई उस में आयते रज्म भी है ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रज्म किया और हुज़ूर के बाद हम ने रज्म किया और रज्म किताबुल्लाह में है और यह हक़ है रज्म उस पर है जो ज़िना करे और मुहसिन हो ख़्वाह वह मर्द हो या औरत बशर्ते कि गवाहों से ज़िना साबित हो या हमल हो या इक़रार हो।

हदीस न.10 :– बुख़ारी व मुस्लिम वग़ैरहुमा रावी कि यहूदियों में से एक मर्द व औरत ने ज़िना किया था यह लोग हुज़ूर की ख़िदमत में मुक़द्दमा लाये शायद इस ख़्याल से कि मुमकिन है कोई मअमूली और हल्की सज़ा हुज़ूर तजवीज़ फ़रमायें(तो क़ियामत के दिन कहने को हो जायेगा कि यह फ़ैसला तेरे एक नबी ने किया था हम उस में बे क़ुसूर हैं)हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया कि तौरेत में रजज्म के मुतअल्लिक़ क्या है यहूदियों ने कहा हम ज़ानियों को फ़ज़ीहत और रूसवा करते हैं और कोड़े मारते हैं(यानी तोरेत में रज्म का हुक्म नहीं है)अब्दुल्लाह इब्ने सलाम रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया तुम झूटे हो तोरेत में बिला शुबह रज्म है तोरेत लाओ यहूदी तौरेत लाये और खोल कर एक शख़्स पढ़ने लगा उस ने आयते रज्म पर हाथ रखकर मा क़ब्ल व मा बअ़द (उस से पहले व बाद)को पढ़ना शुरूअ़ किया(आयते रज्म को छुपालिया और उस को नहीं पढ़ा)अब्दुल्लाह इब्ने सलाम ने फ़रमाया अपना हाथ उठा उस ने हाथ उठाया तो आयते रज्म उसके नीचे चमक रही थी हुज़ूर ने ज़ानी व ज़ानिया के मुतअल्लिक़ हुक्म फ़रमाया वह दोनों रज्म किये गये और यहूदियों से दरयाफ़्त फ़रमाया कि जब तुम्हारे यहाँ रज्म मौजूद है तो क्यों तुम ने उसे छोड़दिया है यहूदियों ने कहा वजह यह है कि हमारे यहाँ जब कोई शरीफ़ व मालदार ज़िना करता तो उसे छोड़दिया करते थे और कोई ग़रीब ऐसा करता तो उसे रज्म करते फिर हम ने मशवरा किया कि कोई ऐसी सज़ा तजवीज़ करनी चाहिए जो अमीर व ग़रीब सब पर जारी की जाये लिहाज़ा हम ने यह सज़ा तजवीज़ की कि उस का मुँह काला करें और गधे पर उल्टा सवार करके शहर में तशहीर करें।

अब हम चाहते हैं कि ज़िना की मज़म्मत व क़बाहत में जो अहादीस वारिद हुई उन में से बाज़ ज़िक्र करें।

हदीस न.11 :– बुख़ारी व मुस्लिम व अबूदाऊद व नसाई अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ज़िना करने वाला जिस वक़्त ज़िना करता है मोमिन नहीं रहता और चोर जिस वक़्त चोरी करता है मोमिन नहीं रहता और शराबी जिस वक़्त शराब पीता है मोमिन नहीं रहता और नसाई की रिवायत में यह भी है कि जब उन अफ़्आल को करता है तो इस्लाम का पट्टा अपनी गर्दन से निकाल देता है फिर अगर तौबा करे तो अल्लाह तआला उस की तौबा कबूल फ़रमाता है हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फ़रमाया कि उस शख़्स से नूरे ईमान जुदा हो जाता है।

हदीस न.12 :– अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व बैहक़ी व हाकिम उन्हीं से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया जब मर्द ज़िना करता है तो उस से ईमान निकलकर सर पर मिस्ल साइबान के हो जाता है जब उस फ़ेअ्ल से जुदा होता है तो उस की तरफ़ ईमान लौट आता है।

हदीस न.13 :– इमाम अहमद अम्र इब्ने आस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि जिस कौम में ज़िना ज़ाहिर होगा वह कहत में गिरफ़्तार होगी और जिस कौम में रिशवत का ज़ुहूर होगा वह रोअ्ब में गिरफ़्तार होगी।

हदीस न.14 :– सहीह बुख़ारी की एक तवील हदीस सुमरा इब्ने जुन्दुब रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि रात मैंने देखा कि दो शख़्स मेरे पास आये और मुझे ज़मीने मुक़द्दस की तरफ़ ले गये (इस हदीस में चन्द मुशाहिदात बयान फ़रमाये उन में एक यह बात भी है)एक सूराख़ के पास पहुँचे जो तन्नूर की तरह ऊपर तंग है और नीचे कुशादा उस में आग जल रही है और उस आग में कुछ मर्द और औरतें बरहना हैं जब आग का शोअ्ला बलन्द होता है तो वह लोग ऊपर आ जाते हैं और जब शोअ्ले कम हो जाते हैं तो शोअ्ले के साथ अन्दर चले जाते हैं(यह कौन लोग हैं इन के मुतअल्लिक़ बयान फ़रमायाहै)यह ज़ानी मर्द और औरतें हैं।

हदीस न.15 :– हाकिम इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिस बस्ती में ज़िना और सूद ज़ाहिर हो जाये तो उन्होंने अपने लिए अल्लाह के अज़ाब को हलाल कर लिया।

हदीस न.16 :– अबू दाऊद व नसाई व इब्ने हब्बान अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि जो औरत किसी कौम में उस को दाख़िल कर दे जो उस कौम से न हो (यानी ज़िना कराया और उस से औलाद हुई)तो उसे अल्लाह की रहमत का हिस्सा नहीं और उसे जन्नत में दाख़िल न फ़रमायेगा।

हदीस न.17 :– मुस्लिम व नसाई अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तीन शख़्सों से अल्लाह तआला न कलाम फ़रमायेगा और न उन्हें पाक करेगा और न उन की तरफ़ नज़रे रहमत फ़रमायेगा और उन के लिए दर्द नाक अज़ाब होगा 1.बूढ़ा ज़िना करने वाला 2.और झूट बोलने वाला बादशाह 3.और फ़क़ीर मुतकब्बिर।

हदीस न.18 :– बज़्ज़ार बुरीदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि सातों आसमान और सातों ज़मीनें बूढ़े ज़ानी पर लअ्नत करती हैं और ज़ानियों की शर्मगाह की बदबू जहन्नम वालों को ईज़ा देगी।

ह ल करे और एक रिवायत में है कि हज़रते अली रदियल्लाहु तआला अन्हु ने दोनों को जला दिया और अबूबक रदियल्लाहु तआला अन्हु ने उन पर दीवार ढादी।

हदीस न.28 :– तिर्मिज़ी व नसाई व इब्ने हब्बान इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह तआला उस मर्द की तरफ़ नज़रे रहमत नहीं फरमायेगा जो मर्द के साथ जिमाअ़ करे या औरत के पीछे के मकाम में जिमाअ़ करे।

हदीस न.29 :– अबूयअ़ला उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया हया करो कि अल्लाह तआला हक़ बात बयान करने से बाज़ न रहेगा और औरतों के पीछे के मक़ाम में जिमाअ़ न करो।

हदीस न. 30 इमाम अहमद व अबूदाऊद अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर फ़रमाते हैं जो शख़्स औरत के पीछे के मक़ाम में जिमाअ़ करे वह मलऊ़न है।

अहकामे फ़िक़्हिया

हद एक किस्म की सज़ा है जिस की मिक़दार शरीअ़त की जानिब से मुक़र्रर है कि उस में कमी बेशी नहीं हो सकती इस से मक़सूद लोगों को ऐसे काम से बाज़ रखना है जिस की यह सज़ा है और जिस पर हद क़ाइम की गई वह जब तक तौबा न करे महज़ हद क़ाइम करने से पाक न होगा।

मसअ्ला : – जब हाकिम के पास ऐसा मुक़द्दमा पहुँच जाये और सुबूत गुज़र जाये तो सिफ़ारिश जाइज़ नहीं और अग़र कोई सिफ़ारिश करे भी तो हाकिम को छोड़ना जाइज़ नहीं और अगर हाकिम के पास पेश होने से पहले तौबा कर ले हद साक़ित हो जायेगी (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– हद्द क़ाइम करना बादशाहे इस्लाम या उसके नाइब का काम है यानी बाप अपने बेटे पर या आक़ा अपने ग़ुलाम पर नहीं क़ाइम कर सकता और शर्त यह है कि जिस पर क़ाइम हो उस की अ़क़्ल दुरुस्त हो और बदन सलामत हो लिहाज़ा पागल और नशा वाले और मरीज़ और ज़ईफ़लख़लक़त पर क़ाइम न करेंगे बल्कि पागल और नशा वाला जब होश में आये और बीमार जब तन्दुरुस्त हो जाये उस वक़्त हद्द क़ाइम करेंगे (आलमगीरी)हद्द की चन्द सूरतें हैं उन में से एक हद्दे ज़िना है वह ज़िना जिस में हद्द वाजिब होती है यह है कि मर्द का औरत मुश्तहात के आगे के मक़ाम में बतौर हराम बकद्र हशफ़ा दुख़ूल करना और वह औरत न उस की ज़ौजा हो न बाँदी न उन दोनों का शुबह हो न शुबह–ए– इश्तिबाह हो और वह वती करने वाला मुकल्लफ़ हो और गूँगा न हो और मजबूर न किया गया हो (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला :– हशफ़ा से कम दुख़ूल में हद्द वाजिब नहीं और जिस का हशफ़ा कटा हो तो मिक़दार हशफ़ा के दुख़ूल से हद्द वाजिब होगी मजनूँ व नाबालिग़ ने वती की तो हद्द वाजिब नहीं अगर्चे नाबालिग़ समझ दार हो यूँहीं अगर गूँगा हो या मजबूर किया गया हो या इतनी छोटी लड़की के साथ किया जो मुश्तहात न हो (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला : – जिस औरत से बग़ैर गवाहों के निकाह किया या लौन्डी से बग़ैर मौला की इजाज़त के निकाह किया या ग़ुलाम ने बग़ैर इज़्ने मौला निकाह किया और उन सूरतों में वती हुई तो हद्द नहीं यूँहीं किसी ने अपने लड़के की बाँदी या ग़ुलाम की बाँदी से जिमाअ़ किया तो हद्द नहीं कि उन सब में शुबह–ए–निकाह मिल्क है और जिस औरत को तीन तलाक़ें दीं इद्दत के अन्दर उस से वती की या लड़के ने बाप की बाँदी से वती की अगर उस का यह गुमान था कि वती हलाल है तो हद्द नहीं वरना है (आलमगीरी रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– हाकिम के नज़दीक ज़िना उस वक़्त साबित होगा जब चार मर्द एक मज्लिस में लफ़्ज़ ज़िना के साथ शहादत अदा करें यानी यह कहें कि उस ने ज़िना किया है अगर वती या जिमाअ् का लफ़्ज़ कहेंगे तो ज़िना साबित न होगा (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– अगर चारों गवाह यके बाद दीगरे आकर मज्लिसे क़ज़ा में बैठे और एक एक ने उठ उठ कर क़ाज़ी के सामने शहादत दी तो गवाही कबूल करली जायेगी और अगर दारुलक़ुज़ात के बाहर सब मुजतमअ् (इकट्ठा)थे और वहाँ से एक एक ने आकर गवाही दी तो गवाही मक़बूल न होगी और उन गवाहों पर तोहमत की हद्द लगाई जायेगी (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला : – दो गवाहों ने यह गवाही दी कि उस ने ज़िना किया है और दो यह कहते हैं कि उस ने ज़िना का इक़रार किया तो न उस पर हद्द है न गवाहों पर और अगर तीन ने शहादत दी कि ज़िना किया है और एक ने यह कि उस ने ज़िना का इक़रार किया है तो उन तीनों पर हद्द क़ाइम की जायेगी (बहर)

मसअ्ला :– अगर चार औ़रतों ने शहादत दी तो न उस पर हद्द है न उन पर (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– जब गवाह गवाही दे लें तो क़ाज़ी उन से दरयाफ़्त करेगा कि ज़िना किस को कहते हैं जब गवाह उस को बतालेंगे और यह कहें कि हम ने देखा कि उस के साथ वती की जैसे सुर्मा दानी में सलाई होती है तो उन से दरयाफ़्त करेगा कि किस तरह ज़िना किया यानी इकराह व मजबूरी में तो न हुआ जब यह भी बतालेंगे तो पूछेगा कि कब किया कि ज़माना दराज़ गुज़र कर तमादी (इतना लम्बा वक़्त ,गुज़र जाये कि दअ़्वे का हक़ न रहे)तो न हुई फिर पूछेगा किस औ़रत के साथ किया कि मुमकिन है वह औ़रत ऐसी हो जिस से वती पर हद्द नहीं फिर पूछेगा कि कहाँ ज़िना किया कि शायद दारुलहर्ब में हुआ हो तो हद्द न होगी जब गवाह इन सब सवालों का जवाब दे लेंगे तो अब अगर उन गवाहों का आ़दिल होना क़ाज़ी को मालूम है तो ख़ैर वरना उन की अ़दावत की तफ़्तीश करेगा यानी पोशीदा व अ़लानिया उस को दरयाफ़्त करेगा पोशीदा यूँ कि उन के नाम और पूरे पते लिख कर वहाँ के लोगों से दरयाफ़्त करेगा अगर वहाँ के मोअ्तबर लोग इस अम्र को लिख दें कि आ़दिल हैं उसकी गवाही क़ाबिले कबूल है उसके बाद जिस ने ऐसा लिखा है क़ाज़ी उसे बुलाकर गवाह के सामने दरयाफ़्त करेगा क्या जिस शख़्स की निस्बत तुम ने ऐसा लिखा या बयान किया है वह यही है जब वह तस्दीक़ करेगा तो अब गवाह की अ़दालत साबित होगई अब उस के बाद उस शख़्स से जिस की निस्बत ज़िना की शहादत गुज़री क़ाज़ी यह दरयाफ़्त करेगा तू मुह़सन है या नहीं (एह़सान के मअ्ना यहाँ पर यह हैं कि आज़ाद, आक़िल, बालिग़, हो जिस ने निकाह़ सह़ीह़ के साथ वती की हो) अगर वह अपने मुह़सन होने का इक़रार करे या उस ने तो इन्कार किया मगर गवाहों से उस का मुह़सन होना साबित हुआ तो एह़सान के मअ्ना दरयाफ़्त करेंगे यानी अगर खुद उस ने मुह़सन होने का इक़रार किया है तो उस से एह़सान के मअ्ना पूछेंगे और गवाहों से एह़सान साबित हुआ तो गवाहों से दरयाफ़्त करेंगे अगर उस के सह़ीह़ मअ्ना बतादिये तो रज्म का हुक्म दिया जायेगा और अगर उस ने कहा मैं मुह़सन नहीं हूँ और अगर गवाहों से भी उस का एह़सान साबित न हुआ तो सौ दुर्रे मारने का क़ाज़ी हुक्म देगा (आ़लमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला : – गवाहों से क़ाज़ी ने जब ज़िना की हक़ीक़त दरयाफ़्त की तो उन्होंने जवाब दिया कि हम ने जो बयान किया है अब उस से ज़्यादा बयान न करेंगे या बाज़ ने हक़ीक़त बयान की और बाज़ ने नहीं तो उन दोनों सूरतों में हद्द नहीं न उस पर न गवाहों पर यूंहीं जब उन से पुछा किस

औरत से ज़िना किया तो कहने लगे हम उसे नहीं पहचानते या पहले तो यह कहा कि हम नहीं पहचानते बाद में कहा कि फुलाँ औरत के साथ जब भी हद्द नहीं (बहर)

मसअ्ला :– दूसरा तरीक़ा उस के सुबूत का इक़रार कि क़ाज़ी के सामने चार बार चार मज्लिसों में होश की हालत में साफ़ और सरीह लफ़्ज़ में ज़िना का इक़रार करे और तीन मरतबा तक हर बार क़ाज़ी उस के इक़रार को रद कर दे जब चौथी बार उस ने इक़रार किया अब वही पाँच सवाल क़ाज़ी उस से भी करेगा यानी ज़िना किस को कहते हैं और किस के साथ किया और कब किया और कहाँ किया और किस तरह किया अगर सब सवालों का जवाब ठीक तौर पर देदे तो हद्द क़ाइम करेंगे और अगर क़ाज़ी के सिवा किसी और के सामने इक़रार किया या नशा की हालत में किया या जिस औरत के साथ बताता है वह औरत इन्कार करती है या औरत जिस मर्द को बताती है वह मर्द इन्कार करता है या वह औरत गूँगी या मर्द गूँगा है या वह औरत कहती है मेरा उस के साथ निकाह हुआ यांनी जिस वक़्त ज़िना करना बताता है उस वक़्त में उस की ज़ौजा थी या मर्द का अज़्वे तनासुल बिलकुल कटा है या औरत का सूराख़ बन्द है ग़र्ज़ जिस के साथ ज़िना का इक़रार है वह मुन्किर है या खुद इकरार करने वाले में सलाहियत न हो या जिस के साथ बताता है उस से ज़िना में हद्द न हो तो उन सब सूरतों में हद्द नहीं (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी वग़ैरहुमा)

मसअ्ला :– ज़िना के बाद अगर उन दोनों का बाहम निकाह हुआ तो यह निकाह हद्द को दफ़अ् करेगा यूहीं अगर औरत कनीज़ थी और ज़िना के बाद उसे ख़रीद लिया तो उस से हद्द जाती न रहेगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर एक ही मज्लिस में चार बार इक़रार किया तो यह एक इक़रार क़रार दिया जायेगा और अगर चार दिनों में या चार महीनों में चार इक़रार हुए तो हद्द है जब कि और शराइत भी पाये जायें (आलमगीरी)

मसअ्ला :– बेहतर यह है कि क़ाज़ी उसे यह तलक़ीन करे कि शायद तूने बोसा लिया होगा या छुआ होगा या शुबह के साथ वती की होगी या तूने उस से निकाह किया होगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– इक़रार करने वाले से जब पूछा गया कि तूने किस औरत से ज़िना किया है तो उस ने कहा मैं पहचानता नहीं या जिस औरत का नाम लेता है वह उस वक़्त यहाँ मौजूद नहीं कि उस से दरयाफ़्त किया जाये तो ऐसे इक़रार पर भी हद्द क़ाइम करेंगे (बहर)

मसअ्ला :– क़ाज़ी को अगर ज़ाती इल्म है कि उस ने ज़िना किया है तो उस की बिना पर हद्द नहीं क़ाइम कर सकता जब तक चार मर्दों की गवाहियाँ न गुज़रें या ज़ानी चार बार इक़रार न करे और अगर कहीं दूसरी जगह उस ने इक़रार किया और उस इक़रार की शहादत क़ाज़ी के पास गुज़री तो उस की बिना पर हद्द नहीं (बहर)

मसअ्ला :– जब इक़रार कर लेगा तो क़ाज़ी दरयाफ़्त करेगा कि वह मुह्सन है या नहीं अगर वह मुह्सन होने का भी इक़रार करे तो एहसान के मअ्ना पुछें अगर बयान कर दे तो रज्म है और अगर मुह्सन होने से इन्कार किया और गवाहों से उस का मुह्सन होना साबित है जब भी रज्म है वरना दुर्रे मारना (आलमगीरी)

मसअ्ला :– इक़रार कर चुकने के बाद अब इन्कार करता है हद्द क़ाइम करने से पहले या दरमियाने हद्द में या इसना–ए–हद्द में भागने लगा या कहता है कि मैंने इक़रार ही न किया था तो उसे छोड़देंगे हद्द क़ाइम न करेंगे और अगर शहादत से ज़िना साबित हुआ हो तो रुजूअ् या इन्कार या भागने से हद्द मोकूफ़ न करेंगे और अगर अपने मुह्सन होने का इक़रार किया था फिर उस से

रुजूअ् कर गया तो रज्म न करेंगे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– गवाहों से ज़िना साबित हुआ और हद्द क़ाइम की जा रही थी इसना–ए–हद्द में भाग गया तो उसे दौड़ कर पकड़ें अगर फ़ौरन मिल जाये तो बक़ाया हद्द क़ाइम करें और चन्द रोज़ के बाद मिला तो हद्द साक़ित है (आलमगीरी)

मसअ्ला : – रज्म की सूरत यह है कि उसे मैदान में लेजाकर इस क़द्र पत्थर मारें कि मर जाये और रज्म के लिए लोग नमाज़ की तरह सफ़ें बान्धकर खड़े हों जब एक सफ़ मार चुके तो यह हट जायें अब और लोग मारें अगर रज्म में हर शख़्स यह क़स्द करे कि ऐसा मारूँ कि मरजाये तो इस में भी हरज नहीं हाँ अगर यह उस का ज़ी रहम महरम है तो ऐसा क़स्द करने की इजाज़त नहीं और अगर ऐसे शख़्स को जिस पर रज्म का हुक्म हो चुका है किसी ने क़त्ल कर डाला या उस की आँख फ़ोड़दी तो उस पर न क़िसास है न दियत मगर सज़ा देंगे कि उस ने क्यों पेश क़दमी की हाँ अगर हुक्मे रज्म से पहले ऐसा किया तो क़िसास या दियत वाजिब होगी (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर ज़िना गवाहों से साबित हुआ है तो रज्म में यह शर्त है कि पहले गवाह मारें अगर गवाह रज्म करने से किसी वजह से मजबूर हैं मसलन सख़्त बीमार हैं या उन के हाथ न हों तो उन के सामने क़ाज़ी पहले पत्थर मारे और अगर गवाह मारने से इन्कार करें या वह सब कहीं चले गये या मर गये या उन में से एक ने इन्कार किया या चला गया या मरगया या गवाही के बाद उन के हाथ किसी वजह से काटे गये तो उन सब सूरतों में रज्म साक़ित हो गया(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– सब गवाहों में या उन में से एक में कोई ऐसी बात पैदा होगई जिस की वजह से वह अब इस क़ाबिल नहीं कि गवाही कबूल की जाये मसलन फ़ासिक़ हो गया या अन्धा या गूँगा हो गया या उस पर तोहमते ज़िना की हद्द मारी गई अगर्चे यह अ़ैब हुक्मे रज्म के बाद पाये गये तो रज्म साक़ित हो जायेगा यूँही अगर ज़ानी ग़ैर मुहसन हो तो कोड़े मारना भी साक़ित है और गवाह मर गया या ग़ाइब हो गया तो दुर्रे मारने की हद्द साक़ित न होगी (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– गवाहों के बाद बादशाह पत्थर मारेगा फिर और लोग और अगर ज़िना का सुबूत ज़ानी के इक़रार से हुआ हो तो पहले बादशाह शुरूअ् करे उस के बाद और लोग (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– अगर क़ाज़ी आ़दिल फ़क़ीह ने रज्म का हुक्म दिया है तो उस की ज़रूरत नहीं कि जो लोग हुक्म देने के वक़्त मौजूद थे वही रज्म करें बल्कि अगर्चे उन के सामने शहादत न गुज़री हो रज्म कर सकते हैं और अगर क़ाज़ी उस सिफ़त का न हो तो जब तक शहादत सामने न गुज़री हो या फ़ैसला की तफ़तीश कर के मुवाफ़िक़ शरअ् न पा ले उस वक़्त तक रज्म जाइज़ नहीं (आलमगीरी, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जिस को रज्म किया गया उसे ग़ुस्ल व कफ़न देना और उस की नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है (तन्वीर)

मसअ्ला :– अगर वह शख़्स जिस का ज़िना साबित हुआ मुहसन न हो तो उसे दुर्रे मारे जायें अगर आज़ाद है तो सौ दुर्रे और ग़ुलाम या बान्दी है तो पचास और दुर्रा उस क़िस्म का हो जिस के किनारे पर गिरह न हो न उस का किनारा सख़्त हो अगर ऐसा हो तो उस को कूट कर मुलायम करलें और मुतवस्सित तौर पर मारें न आहिस्ता न बहुत ज़ोर से न दुर्रे को सर से ऊँचा उठा कर मारे न बदन पर पड़ने के बाद उसे खींचे बल्कि ऊपर को उठा ले और बदन पर एक ही जगह न मारे बल्कि मुख़्तलिफ़ जगहों पर मगर चेहरा और सर और शर्मगाह पर न मारे(दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :— दुर्रा मारने के वक़्त मर्द के कपड़े उतार लिऐ जायें मगर तहबन्द या पाजामा न उतारें कि सत्र ज़रूर है और औरत के कपड़े न उतारे जायें हाँ पोस्तीन या रूई भरा हुआ कपड़ा पहने हो तो उसे उतरवालें मगर जबकि उस के नीचे कोई दूसरा कपड़ा न हो तो उसे भी न उतरवायें और मर्द को खड़ा कर के और औरत को बैठा कर दुर्रे मारें ज़मीन पर लिटा कर न मारें और अगर मर्द खड़ा न हो तो उसे सुतून से बान्ध कर या पकड़ कर कोड़े मारें और औरत के लिए अगर गढ्ढा खोदा जाये तो जाइज़ है यानी जबकि ज़िना गवाहों से साबित हुआ हो और मर्द के लिए न खोदें (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार)

मसअला :— अगर एक दिन पचास कोड़े मारे दूसरे दिन फिर पचास मारे तो काफ़ी नहीं(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :— ऐसा नहीं हो सकता कि कोड़े भी मारें और रज्म भी करें और यह भी नहीं कि कोड़े मार कर कुछ दिनों के लिए शहर बदर कर दें हाँ अगर हाकिम के नज़्दीक शहर बदर करने में कोई मसलिहत हो तो कर सकता है मगर यह हद्द के अन्दर दाख़िल नहीं बल्कि इमाम की जानिब से एक अलाहिदा सज़ा है (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला : — ज़ानी अगर मरीज़ है तो रज्म कर देंगे मगर कोड़े न मारेंगे जब तक अच्छा न हो जाये हाँ अगर ऐसा बीमार हो कि अच्छा होने की उमीद न हो तो बीमारी की हालत में कोड़े मारें मगर बहुत आहिस्ता या कोई ऐसी लकड़ी जिस में सौ शाख़ें हों उस से मारें कि सब शाखें उस के बदन पर पड़ें (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअला : — औरत को हमल हो तो जब तक बच्चा पैदा न हो ले हद्द क़ाइम न करें और बच्चा पैदा होने के बाद अगर रज्म करना है तो फ़ौरन करदें हाँ बच्चा की तर्बीयत करने वाला कोई न हो तो दो बरस बच्चा की उम्र होने के बाद रज्म करें और अगर कोड़े मारने का हुक्म हो तो निफ़ास के बाद मारे जायें औरत को हद्द का हुक्म हुआ उस ने अपना हामिला होना बयान किया तो औरतें उस का मुआएना करें अगर यह कहदें कि हमल है तो दो बरस तक क़ैद में रखी जाये अगर उस दरमियान में बच्चा पैदा हो गया तो वही करें जो ऊपर मज़कूर हुआ और बच्चा पैदा न हो तो अब हद क़ाइम करदें (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :— मुहसन होने की सात शर्तें हैं 1.आज़ाद होना 2.आक़िल होना 3.बालिग़ होना 4.मुसलमान होना 5.निकाहे सहीह होना 6.निकाहे सहीह के साथ वती होना, 7.मियाँ बीवी दोनों का वक़्त वती में सिफ़ाते मज़कूर के साथ मुत्तसिफ़ होना,(जिमा के वक़्त ऊपर बयान हुई छः ख़ूबियों का पाया जाना) लिहाज़ा बान्दी से निकाह किया है या आज़ाद औरत ने गुलाम से निकाह किया तो मुहसिन व मुहसिना नहीं हाँ अगर उस के आज़ाद होने के बाद वती वाक़ेअ् हुई तो अब मुहसिन हो गये।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :— मर्द के ज़िना पर चार गवाह गुज़रे और वह कहता है कि मैं मुहसन नहीं हालाँकि उस की औरत के उस के निकाह में बच्चा पैदा हो चुका है तो रज्म किया जायेगा और बीवी है मगर बच्चा पैदा नहीं हुआ है तो जब तक गवाहों से मुहसन होना साबित न होले रज्म न करेंगे (बहर)

मसअला :— मुर्तद होने से एहसान जाता रहता है फिर उस के बाद इस्लाम लाया तो जब तक दुखूल न हो मुहसन न होगा और पागल और बोहरा होने से भी एहसान जाता रहता है मगर उन दोनों में अच्छे होने के बाद ,एहसान लौट आयेगा अगर्चे इफ़ाक़ा की हालत में वती न की हो(आलमगीरी)

मसअला :– मुहसन होने का सुबूत दो मर्द या एक मर्द दो औरत की गवाही से हो जायेगा(आलमगीरी)

मसअला :– मुहसन रहने के लिए निकाह का बाकी रहना ज़रूर नहीं लिहाज़ा निकाह के बाद वती कर के तलाक़ देदी तो मुहसन ही है अगर्चे उम्र भर मुजर्रद रहे (दुर्रे मुख़्तार)

कहाँ हद्द वाजिब है और कहाँ नहीं

तिर्मिज़ी उम्मुलमोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रावी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जहाँ तक हो सके मुसलमानों से हुदूद दफ़्अ करो (यानी अगर हुदूद के सुबूत में कोई शुबह हो तो क़ाइम न करो अगर कोई राह निकल सकती हो तो उसे छोड़ दो)इमाम मुआफ़ करने में ख़ता करे यह उस से बेहतर है कि सज़ा देने में ग़लती करे नीज़ तिर्मिज़ी वाइल इब्ने हजर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक औरत से जबरन ज़िना किया गया हुज़ूर ने उस औरत पर हद्द नहीं लगाई और उस मर्द पर हद्द क़ाइम की जिस ने उस के साथ किया था।

मसअला :– यह हम ऊपर बयान कर आये कि शुबह से हद्द साक़ित हो जाती है वती हराम की निस्बत यह कहता है कि मैंने उसे हलाल गुमान किया था तो हद्द साक़ित हो जायेगी और अगर उस ने ऐसा ज़ाहिर न किया तो हद्द क़ाइम की जायेगी और उस का एअ्तिबार सिर्फ़ उस शख़्स की निस्बत किया जा सकता है जिस को ऐसा शुबह हो सकता है और जिस को नहीं हो सकता वह अगर दअ्वा करे तो मसमूअ् न होगा और उस में गुमान का पाया जाना ज़रूर है फ़क़त वहम काफ़ी नहीं (आलमगीरी)

मसअला :– इकराह का दअ्वा किया तो महज़ दअ्वा से हद्द साक़ित न होगी जब तक गवाहों से यह साबित न करे कि इकराह पाया गया (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– जिस औरत से वती की गई उस में मिल्क का शुबह हो तो हद्द क़ाइम न होगी अगर्चे उस को हराम होने का गुमान हो जैसे 1.अपनी औलाद की बान्दी 2.जिस औरत को अल्फ़ाज़े किनाया से तलाक़ दी और वह इद्दत में हो अगर्चे तीन तलाक़ की नियत की हो 3.बाइअ् का बेची हुई लौन्डी से वती करना जब कि मुश्तरी ने लौन्डी पर क़ब्ज़ा न किया हो बल्कि बैअ् अगर फ़ासिद हो तो क़ब्ज़ा के बाद भी 4.शौहर ने निकाह में लौन्डी को महर मुक़र्रर किया और अभी वह लौन्डी औरत को न दी थी कि उस लौन्डी से वती की 5.लौन्डी में चन्द शख़्स शरीक हैं उन में से किसी ने उस से वती की 6.अपने मकातिब की कनीज़ से वती की 7.गुलाम माज़ून जो ख़ुद और उस का तमाम माल दैन में मुस्तग़रक है उस की लौन्डी से वती की 8.ग़नीमत में जो औरतें हासिल हुई। तक़सीम से पहले उन में से किसी से वती की 9.बाइअ् का उस लौन्डी से वती करना जिस में मुश्तरी को ख़ियार था 10,या अपनी लौन्डी से इस्तिबरा से क़ब्ल वती की 11.या उस लौन्डी से वती की जो उस की रज़ाई बहन है 12.या उस की बहन उस के तसर्रुफ़ में है 13.या अपनी उस लौन्डी से वती की जो मजूसिया है 14.या अपनी ज़ौजा से वती की जो मुरतद्दा हो गई है या और किसी वजह से हराम हो गई मसलन उस के बेटे से उस का तअल्लुक़ हो गया या उस की माँ या बेटी से उस ने जिमाअ् किया (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– शुबह जब मुहिल में हो तो हद नहीं है अगर्चे वह जानता है कि यह वती हराम है बल्कि अगर्चे उस को हराम बताता हो (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– शुबह–ए–फ़ेअ्ल उस को शुबह–ए–इश्तिबाह कहते हैं कि मुहिल तो मुश्तबह नहीं मगर उस ने उस वती को हलाल गुमान कर लिया तो जब ऐसा दअ्वा करेगा तो दोनों में किसी पर हद क़ाइम न होगी अगर्चे दूसरे को इश्तिबाह न हो 1.मसलन माँ बाप की लौन्डी से वती की 2.या औरत को सरीह लफ़्ज़ों में तीन तलाक़ें दीं और ज़माना–ए–इद्दत में उस से वती की ख़्वाह एक लफ़्ज़ से तीन तलाक़ें दीं या तीन लफ़्ज़ों से एक मज्लिस में या मुतअ़द्दिद मज्लिसों में 3.या अपनी औरत की बान्दी 4.या मौला की बान्दी से वती की 5.या मुरतहिन ने उस लौन्डी से वती की जो उस के पास गिरवीं है 6.या दसूरे की लौन्डी इस लिए आ़रियतन लाया था कि उस को गिरवी रखेगा और उस से वती की 7.या औरत को माल के बदले में तलाक़ दी या माल के एवज़ खुलअ् किया उस से इद्दत में वती की 8.या उम्मे वलद को आज़ाद कर दिया और ज़माना–ए–इद्दत में उस से वती की इन सब में हद नहीं जब कि दअ्वा करे कि मेरे गुमान में वती हलाल थी और अगर इस क़िस्म की वती हुई और वह कहता है कि मैं हराम जानता था और दूसरा मौजूद नहीं कि उस का गुमान मालूम हो सके तो जो मौजूद है उस पर हद क़ाइम की जायेगी (दुर्रे मुख़्तार, आ़लमगीरी)

मसअला :– भाई या बहन या चचा की लौन्डी या ख़िदमत के लिए किसी की लौन्डी आ़रियतन लाया था या नौकर रखकर लाया था या उस के पास अमानतन थी उस से वती की तो हद है अगर्चे हलाल होने का दअ्वा करता हो (आ़लमगीरी)

मसअला :– निकाह के बाद पहली शब में जो औरत रुख़सत कर के उस के यहाँ लाई गई और औरतों ने बयान किया कि यह तेरी बीवी है उस ने वती की बाद को मालूम हुआ कि बीवी न थी तो हद नहीं (दुर्रे मुख़्तार)यानी जब कि पहले से यह उस औरत को न पहचानता हो जिस के साथ निकाह हुआ है और अगर पहचानता है और दूसरी औरत उस के पास लाई गई तो उन औरतों का क़ौल क़िस तरह एअ्तिबार करेगा यूँहीं अगर औरतें न कहें मगर सुसराल वालों ने जिस औरत को उस के यहाँ भेज दिया है उस में बेशक यही होगा कि उसी के साथ निकाह हुआ है जब कि पेश्तर से देखा न हो और बाज़ वाक़ेआ ऐसे हुए भी हैं कि एक घर में दो बरातें आयीं और रुख़्सत के वक़्त दोनों बहनें बदल गयीं उस की उस के यहाँ उस की उस के यहाँ आ गई लिहाज़ा यह इश्तिबाह ज़रूर[1] मोअ्तबर होगा वल्लाहु तआ़ला अअ्लमु।

मसअला :– शुबह अ़क्द यानी जिस औरत से निकाह नहीं हो सकता उस से निकाह कर के वती की मसलन दूसरे की औरत से निकाह किया या दूसरे की औरत अभी इद्दत में थी उस से निकाह किया तो अगर्चे यह निकाह निकाह नहीं मगर हद साक़ित हो गई मगर उसे सज़ा दी जायेगी यूँहीं अगर उस औरत के साथ निकाह तो हो सकता है मगर जिस तरह निकाह किया वह सहीह न हो

(1) ثم رأيت في رد المحتار نقل عن الخانية انه لا حد عليه وان كان ظاهر الدر ينبئ عن وجوب الحد وهذا بعيد جد الان الحدود تندفع بالشبهة هذا الشبهة قوى فكيف لا تعتبر ثم نقل المسئله عن الكافى انه لم يقيد المسئله باخبار امرأة انها امرأته ١٢ منه حفظه ربه

सलन बग़ैर गवाहों के निकाह किया कि यह निकाह सहीह नहीं मगर ऐसे निकाह के बाद वती की तो हद साकित होगई (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– अन्धेरी रात में अपने बिस्तर पर किसी औरत को पाया और उसे ज़ौजा गुमान कर के वती की हालाँकि यह कोई दूसरी औरत थी तो हद नहीं यूँहीं अगर वह शख़्स अन्धा है और अपने बिस्तर पर दूसरी को पाया और ज़ौजा गुमान करके वती की अगर्चे दिन का वक़्त है तो हद नहीं (रद्दुलमुहतार)

मसअला :– आक़िल बालिग़ ने पागल औरत से वती की या इतनी छोटी लड़की से वती की जिस के मिस्ल से जिमाअ़ किया जाता है या औरत सो रही थी उस से वती की तो सिर्फ़ मर्द पर हद क़ाइम होगी। औरत पर नहीं (आलमगीरी)

मसअला : – मर्द ने चौपाया से वती की या औरत ने बन्दर से कराई तो दोनों को सज़ा देंगे और उस जानवर को ज़िबह कर के जलादें उस से नफ़अ़ उठाना मकरूह है (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– इग़लाम यानी पीछे के मक़ाम में वती की तो उस की सज़ा यह है कि उस के ऊपर दीवार गिरा दें या ऊँची जगह से उसे औन्धा कर के गिरायें और उस पर पत्थर बरसायें या उसे क़ैद में रखें यहाँ तक कि मरजाये या तौबा करे या चन्द बार ऐसा किया हो तो बादशाहे इस्लाम उसे क़त्ल कर डाले अलग़र्ज़ यह फ़ेअ़्ल निहायत ख़बीस है बल्कि ज़िना से भी बद तर है इसी वजह से उस में हद नहीं कि बाज़ों के नज़्दीक हद क़ाइम करने से उस गुनाह से पाक हो जाता है और यह इतना बुरा है कि जब तक तौबा–ए–ख़ालिसा न हो उस में पाकी न होगी और इग़लाम को हलाल जानने वाला काफ़िर है यही मज़हबे जुमहूर है (दुर्रे मुख़्तार, बहर वग़ैराहुमा)

मसअला :– किसी की लौन्डी ग़सब कर ली और उस से वती की फिर उस की क़ीमत का तावान दिया तो हद नहीं और अगर ज़िना के बाद ग़सब की और तावान दिया तो हद है यूँहीं अगर ज़िना के बाद औरत से निकाह कर लिया तो हद साकित न होगी (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी)

ज़िना की गवाही देकर रुजूअ़ (फिर जाना) करना।

मसअला :– जो अम्र मोजिबे हद है वह बहुत पहले पाया गया और गवाही अब देता है तो अगर यह ताख़ीर किसी उज़्र के सबब है मसलन बीमार था या वहाँ से कचहरी दूर थी या उस को ख़ौफ़ था या रास्ता अन्देशा नाक था तो यह ताख़ीर मुज़िर नहीं यानी गवाही क़बूल कर ली जायेगी और अगर बिला ज़रूरत ताख़ीर की तो गवाही मक़बूल न होगी मगर हद्दे क़ज़्फ़ में अगर्चे बिला उज़्र ताख़ीर हो गवाही मक़बूल है और चोरी की गवाही दी और तमादी (इतनी मुद्दत का गुजर जाना कि दअ़्वा दाइर करने का हक़ न रहे)हो चुकी है तो हद नहीं मगर चोर से तावान दिलवायेंगे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर मुजरिम खुद इक़रार करे तो अगर्चे तमादी (इतनी मुद्दत का गुजर जाना कि दअ़्वा दाइर करने का हक़ न रहे "अमीन")हो गई तो हद क़ाइम होगी शराब पीने का इक़रार करे और तमादी हो तो हद नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– शराब पीने के बाद इतना ज़माना गुज़रा कि मुँह से बू उड़ गई तो तमादी (इतनी मुद्दत का गुज़र जाना कि दअ़्वा दाइर करने का हक़ न रहे)हो गई और उस के अ़लावा औरों में तमादी जब होगी कि एक महीना का ज़माना गुज़र जाये (तन्वीर)

मसअला :– तमादी आरिज़ (इतनी मुद्दत का गुजर जाना कि दअ्वा दाइर करने का हक़ न रहे)होने के बाद चार गवाहों ने ज़िना की शहादत दी तो न ज़ानी पर हद है न गवाहों पर (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– गवाही दी कि उस ने फुलाँ औरत के साथ ज़िना किया है और वह औरत कहीं चली गई है तो मर्द पर हद्द काइम करेंगे यूँहीं अगर ज़ानी खुद इक़रार करता है और यह कहता है कि मुझे मालूम नहीं वह कौन औरत थी तो हद्द क़ाइम की जायेगी और अगर गवाहों ने कहा मालूम नहीं वह कौन औरत थी तो नहीं और अगर गवाहों ने बयान किया कि उस ने चोरी की मगर जिस की चोरी की वह ग़ाइब है तो हद्द नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– चार गवाहों ने शहादत दी कि फुलाँ औरत के साथ उस ने ज़िना किया है मगर दो ने एक शहर का नाम लिया कि फुलाँ शहर में और दो ने दूसरे शहर का नाम लिया या दो कहते हैं कि उस ने जबरन ज़िना किया है और दो कहते हैं कि औरत राज़ी थी या दो ने कहा कि फुलाँ मकान में और दो ने दूसरा मकान बताया या दो ने कहा मकान के नीचे वाले दर्जा में ज़िना किया और दो कहते हैं बाला ख़ाना पर या दो ने कहा जुमआ के दिन ज़िना किया और दो हफ़ते का दिन बताते हैं या दो ने सुबह का वक़्त बताया और दो ने शाम का या दो एक औरत को कहते हैं और दो दूसरी औरत के साथ ज़िना होना बयान करते हैं या चारों एक शहर का नाम लेते हैं और चार दूसरे शहर में ज़िना होना कहते हैं जो दिन तारीख़ वक़्त और चारों ने बयान किया वही दूसरे चार भी बयान करते हैं तो इन सब सूरतों में हद्द नहीं न उन पर न गवाहों पर (आलमगीरी)

मसअला :– मर्द व औरत के कपड़ों में गवाहों ने इख़्तिलाफ़ किया कोई कहता है फुलाँ कपड़ा पहने हुए था और कोई दूसरे कपड़े का नाम लेता है या कपड़ों के रंग में इख़्तिलाफ़ किया या औरत को कोई दुब्ली बताता है कोई मोटी या कोई लम्बी कहता है और कोई ठिंगनी तो उस इख़्तिलाफ़ का एअ्तिबार नहीं यानी हद्द काइम होगी (आलमगीरी)

मसअला :– चार गवाहों ने शहादत दी कि उस ने फुलाँ दिन, तारीख़, वक़्त, में फुलाँ शहर में फुलाँ औरत से ज़िना किया और चार कहते हैं कि उसी दिन, तारीख़ वक़्त, में उस ने फुलाँ शख़्स को (दूसरे शहर का नाम ले कर)फुलाँ शहर में क़त्ल किया तो न ज़िना की हद्द क़ाइम होगी न क़िसास यह उस वक़्त है कि दोनों शहादतें एक साथ गुज़रें और अगर एक शहादत गुज़री और हाकिम ने उस के मुताबिक़ हुक्म कर दिया अब दूसरी गुज़री तो दूसरी बातिल है (आलमगीरी)

मसअला :– चार गवाहों ने ज़िना की शहादत दी थी और उन में एक शख़्स ग़ुलाम या अन्धा या नाबालिग़ या मजनून है या उस पर तोहमते ज़िना की हद्द क़ाइम हुई है या काफ़िर है तो उस शख़्स पर हद्द नहीं मगर गवाहों पर तोहमते ज़िना की हद्द क़ाइम होगी और अगर उन की शहादत की बिना पर हद्द क़ाइम की गई बाद को मालूम हुआ कि उन में कोई ग़ुलाम या महदूद फ़िलक़ज़फ़ वग़ैरा है जब भी गवाहों पर हद्द क़ाइम की जायेगी और उस शख़्स पर जो कोड़े मारने से चोट आई बल्कि मर भी गया उस का कुछ मुआविज़ा नहीं और अगर रज्म किया बाद को मालूम हुआ कि गवाहों में कोई शख़्स नाक़ाबिले शहादत था तो बैतुलमाल से दियत देंगे (दुर्रे मुख़्तार बहर)

मसअला :– रज्म के बाद एक गवाह ने रुजूअ़ की तो सिर्फ़ उसी पर हद्दे क़ज़फ़ जारी करेंगे और उसे चौथाई दियत देनी होगी और रज्म से पहले रुजूअ़ की तो सब पर हद्दे क़ज़फ़ क़ाइम होगी और

अगर पाँच गवाह थे और रज्म के बाद एक ने रुजूअ़ की तो उस पर कुछ नहीं और उन चार बाकियों में एक ने और रुजूअ़ की तो उन दोनों पर हद्दे क़ज़फ है और चौथाई दियत दोनों मिलकर दें अगर फिर एक ने रुजूअ़ की तो उस अकेले पर पूरी चौथाई दियत है और अगर सब रुजूअ़ कर जायें तो दियत के पाँच हिस्से करे हर एक एक हिस्सा दे(बहर)

मसअ्ला :– जिस शख़्स ने गवाहों का तज़किया किया वह अगर रुजूअ़ कर जाये यानी कहे मैं क़स्दन झूट बोला था वाक़ेअ़ में गवाह क़ाबिले शहादत न थे तो मरजूम (जो रज्म किया गया)की दियत उसे देनी पड़ेगी और अगर वह अपने क़ौल पर अड़ा है यानी कहता है कि गवाह क़ाबिले शहादत हैं मगर वाक़ेअ़ में क़ाबिले शहादत नहीं तो बैतुलमाल से दियत दीजायेगी और गवाहों पर न दियत है न हद्दे क़ज़फ़ (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– गवाहों का तज़किया हुआ और रज्म कर दिया गया बाद को मालूम हुआ कि क़ाबिले शहादत न थे तो बैतुल माल से दियत दीजाये (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– गवाहों ने बयान किया कि हम ने क़स्दन उस तरफ़ नज़र की थी तो उस की वजह से फ़ासिक़ न होंगे और गवाही मकबूल है कि अगर्चे दूसरे की शर्मगाह की तरफ़ देखना हराम है मगर बज़रूरत जाइज़ है लिहाज़ा ब–ग़र्ज़े अदा–ए–शहादत जाइज़ है जैसे दाई और ख़तना करने वाले और अ़मल देने वाले और तबीब को बवक़्ते ज़रूरत इजाज़त है और अगर गवाहों ने बयान किया कि हम ने मज़ा लेने के लिए नज़र की थी तो फ़ासिक़ हो गये और गवाही क़ाबिले क़बूल नहीं(दुर्रे मुख़्तार बहर)

मसअ्ला :– मर्द अपने मुहसन होने से इन्कार करे तो दो मर्द या एक मर्द और दो औरतों की शहादत से एहसान साबित होगा या उस के बच्चा पैदा हो चुका है जब भी मुहसन है और अगर ख़लवत हो चुकी है और मर्द कहता है कि मैंने ज़ौजा से वती की है मगर औरत इन्कार करती है तो मर्द मुहसन है और औरत नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

शराब पीने की हद्द का बयान।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۝ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ۝ وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ۝

तर्जमा :– " ऐ ईमान वालो शराब और जुआ और बुत और तीरों से फाल निकालना यह सब नापाकी हैं शैतान के कामों से हैं उन से बचो ताकि फलाह (कामयाबी)पाओ शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए की वजह से तुम्हारे अन्दर अ़दावत और बुग्ज़ डाल दे और तुम को अल्लाह की याद और नमाज़ से रोक दे तो क्या तुम हो बाज़ आने वाले और इताअ़त करो अल्लाह की और रसूल की इताअ़त करो और परहेज़ करो और अगर तुम एअ़राज़ करोगे तो जान लो कि हमारे रसूल पर सिर्फ़ साफ़ तौर पहुँचा देना है"

शराब पीना हराम है और उस की वजह से बहुत से गुनाह पैदा होते हैं लिहाजा अगर उस को मआ़सी और बेहयाईयों की अस्ल कहा जाये तो बजा है अहादीस में उस के पीने पर निहायत सख़्त वईदें आई हैं चन्द अहादीस ज़िक्र की जाती हैं।

हदीस न.1 :– तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व इब्ने माजा जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया जो चीज़ ज़्यादा मिक़दार में नशा लाये वह थोड़ी भी हराम है।

हदीस न.2 :– अबूदाऊद उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि हुज़ूर ने मुसकिर और मुफ़तिर(यानी अअ़ज़ा को सुस्त करने वाली हवास को कुन्द करने वाली मसलन अफ़यून) से मनअ़ फ़रमाया।

हदीस न.3 :– बुख़ारी व मुस्लिम व अबूदाऊद व तिर्मिज़ी व नसाई व बैहक़ी इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हर नशा वाली चीज़ ख़म्र है।(यानी ख़म्र के हुक्म में है)और हर नशा वाली चीज़ हराम है और जो शख़्स दुनिया में शराब पिये और उस की मुदावमत करता हुआ मरे और तौबा न करे वह आख़िरत की शराब नहीं पियेगा।

हदीस न.4 :– सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया हर नशा वाली चीज़ हराम है बेशक अल्लाह तआ़ला ने अहद किया है कि जो शख़्स नशा पियेगा उसे तीनतलुख़िबाल से पिलायेगा लोगों न अ़र्ज़ की तीनतुल ख़िबाल क्या चीज़ है फ़रमाया कि जहन्नमियों का पसीना या उन का अ़सारा (निचोड़)

हदीस न.5 :– सहीह मुस्लिम में है कि तारिक़ इब्ने सुवैद रदियल्लाहु तआला अन्हु ने शराब के मुतअ़ल्लिक़ सवाल किया हुज़ूर ने मनअ़ फ़रमाया उन्होंने अ़र्ज़ की हम तो उसे दवा के लिए बनाते हैं फ़रमाया यह दवा नहीं है यह तो ख़ुद बीमारी है।

हदीस न. 6:– तिर्मिज़ी ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर और नसाई व इब्ने माजा व दारमी ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स शराब पियेगा उस की चालीस रोज़ की नमाज़ क़बूल न होगी फिर अगर तौबा करे तो अल्लाह उस की तौबा क़बूल फ़रमायेगा फिर अगर पिये तो चालीस रोज़ की नमाज़ क़बूल न होगी। उस के बाद तौबा करे तो क़बूल है फिर अगर पिये तो चालीस रोज़ की नमाज़ क़बूल न होगी उस के बाद तौबा करे तो अल्लाह क़बूल फ़रमायेगा फिर अगर चौथी मरतबा पिये तो चालीस रोज़ की नमाज़ क़बूल न होगी अब अगर तौबा करे तो अल्लाह उस की तौबा क़बूल नहीं फ़रमायेगा और नहरे ख़िबाल से उसे पिलायेगा।

हदीस न.7 :– अबू दाऊद ने वैलम हुमैरी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह हम सर्द मुल्क के रहने वाले हैं और सख़्त सख़्त काम करते हैं और हम गेहूँ की शराब बनाते हैं जिस की वजह से हमें काम करने की क़ुव्वत हासिल होती है और सर्दी का असर नहीं होता इरशाद फ़रमाया क्या उस में नशा होता है अ़र्ज़ की हाँ फ़रमाया तो उस से परहेज़ करो मैंने अ़र्ज़ की लोग उसे नहीं छोड़ेंगे फ़रमाया अगर न छोड़ें तो उन से क़िताल करो।

हदीस न.8 :– दारमी ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया वालिदैन की नाफ़रमानी करने वाला और जुआ खेलने वाला, और एहसान जताने वाला

और शराब की मुदावमत करने वाला जन्नत में दाख़िल न होगा।

हदीस न.9 :– इमाम अहमद ने अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला फ़रमाता है क़सम है मेरी इज़्ज़त की मेरा जो बन्दा शराब की एक घूँट भी पियेगा मैं उस को उतनी ही पीप पिलाऊँगा और जो बन्दा मेरे ख़ौफ़ से उसे छोड़ेगा मैं उस को हौज़े क़ुदस से पिलाऊँगा।

हदीस न.10 :– इमाम अहमद व नसाई व बज़ार व हाकिम इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर ने फ़रमाया तीन शख़्सों पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी शराब की मुदावमत करने वाला और वालिदैन की नाफ़रमानी करने वाला और दय्यूस जो अपने अहल में बे हयाई की बात देखे और मनअ् न करे।

हदीस न.11 :– इमाम अहमद व अबू यअ्ला व इब्ने हब्बान व हाकिम ने अबू मूसा अशअ़री रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया तीन शख़्स जन्नत में दाख़िल न होंगे शराब की मुदावमत करने वाला और क़ातिअ् रहम और जादू की तस्दीक़ करने वाला।

हदीस न.12 :– इमाम अहमद ने इब्ने अब्बास से और इब्ने माजा ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हुम से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया शराब की मुदावमत करने वाला मरेगा तो ख़ुदा से ऐसे मिलेगा जैसा बुत परस्त।

हदीस न.13 :– तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शराब के बारे में दस शख़्सों पर लअ्नत की 1.बनाने वाला 2.और बनवाने वाला 3.और पीने वाला 4.और उठाने वाला 5.और जिस के पास उठा कर लाई गई 6.और पिलाने वाला 7.और बेचने वाला 8.और उस के दाम खाने वाला 9.और ख़रीद ने वाला 10.और जिस के लिए ख़रीदी गई।

हदीस न.14 :– तबरानी इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया जो शख़्स अल्लाह और क़ियामत के दिन पर ईमान लाता है वह शराब न पीये और जो शख़्स अल्लाह और क़ियामत के दिन पर ईमान लाता है वह ऐसे दस्तर ख़्वान पर न बैठे जिस पर शराब पी जाती है।

हदीस न.15 :– हाकिम ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया शराब से बचो कि वह हर बुराई की कुंजी है।

हदीस न.16 :– इब्ने माजा व बैहक़ी अबूदाऊद. रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कहते हैं मुझे मेरे ख़लील सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वसियत फ़रमाई कि ख़ुदा के साथ शिर्क न करना अगर्चे टुकड़े कर दिए जाओ अगर्चे जला दिए जाओ और नमाज़ फ़र्ज़ को क़स्दन तर्क न करना कि जो शख़्स उसे क़स्दन छोड़े उस से ज़िम्मा बरी है और शराब न पीना कि वह हर बुराई की कुन्जी है।

हदीस न.17 :– इब्ने हब्बान व बहैक़ी हज़रत उसमान रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं उम्मुलख़बाइस(शराब)से बचो कि गुज़िश्ता ज़माने में एक शख़्स आ़बिद था और लोगों से अलग रहता था एक औरत उस पर फ़रेफ़्ता हो गई उस ने उस के पास एक ख़ादिमा को भेजा कि गवाही के लिए उसे बुला कर ला वह बुलाकर लाई जब मकान के दरवाज़ों में दाख़िल होता गया ख़ादिमा बन्द करती गई जब अन्दर के मकान में पहुँचा देखा कि एक ख़ुबसूरत औरत बैठी है और

उस के पास एक लड़का है और एक बर्तन में शराब है उस औरत ने कहा मैंने तुझे गवाही के लिए नहीं बुलाया है बल्कि इस लिए बुलाया है कि या इस लड़के को क़त्ल कर या मुझ से ज़िना कर या शराब का एक प्याला पी अगर तू इन बातों से इन्कार करता है तो मैं शोर करूँगी और तुझे रुसवा कर दूँगी जब उस ने देखा कि मुझे नाचार कुछ करना ही पड़ेगा कहा एक प्याला शराब का मुझे पिलादे जब एक प्याला पी चुका तो कहने लगा और दे जब ख़ूब पी चुका तो ज़िना भी किया और लड़के को क़त्ल भी किया लिहाज़ा शराब से बचो ख़ुदा की क़सम ईमान और शराब की मुदावमत मर्द के सीने में जमअ् नहीं होते क़रीब है कि उन में एक दूसरे को निकाल दे।

हदीस न.18 :– इब्ने मौला व इब्ने हब्बान अबू मालिक अशअ़री रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि मेरी उम्मत में कुछ लोग शराब पियेंगे और उस का नाम बदलकर कुछ और रखेंगे और उन के सरों पर बाजे बजाये जायेंगे और गाने वालियाँ गायेंगी यह लोग ज़मीन में धंसा दिये जायेंगे और उन में के कुछ लोग बन्दर और सुअर बना दिये जायेंगे।

हदीस न.19 :– तिर्मिज़ी व अबू दाऊद ने मुआ़विया रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शराब पिये उसे कोड़े मारो और अगर चौथी मरतबा फिर पिये तो उसे क़त्ल कर डालो और यह हदीस जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से भी मरवी हैं वह कहते हैं कि चौथी बार हुज़ूर की ख़िदमत में शराब ख़ोर लाया गया उसे कोड़े मारे और क़त्ल न किया यानी क़त्ल करना मन्सूख़ है।

हदीस न.20 :– बुख़ारी व मुस्लिम अनस रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने शराब के मुतअ़ल्लिक़ शाख़ों और जूतियों से मारने का हुक्म दिया।

हदीस न.21 :– सहीह बुख़ारी में साइब इब्ने यज़ीद रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से मरवी कहते हैं कि हुज़ूर के ज़माना में और हज़रत अबू बक्र के ज़माना–ए–ख़िलाफ़त में और हज़रते उ़मर के इब्तिदाई ज़माना–ए–ख़िलाफ़त में शराबी लाया जाता हम अपने हाथों और जूतों और चादरों से उसे मारते फिर हज़रते उ़मर ने चालीस कोड़े का हुक्म दिया फिर जब लोगों में सरकशी हो गई तो अस्सी कोड़े का हुक्म दिया।

हदीस न.22 :– इमाम मालिक ने सौर इब्ने ज़ैद रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि हज़रत उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला ने हद्दे ख़म्र के मुतअ़ल्लिक़ सहाबा से मशवरा किया हज़रते अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने फ़रमाया कि मेरी राय यह है कि उसे अस्सी कोड़े मारे जायें क्योंकि जब पियेगा नशा होगा और जब नशा होगा बेहूदा बकेगा और जब बेहूदा बकेगा इफ़तरा करेगा लिहाज़ा हज़रते उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने अस्सी कोड़ों का हुक्म दिया।

अहकामे फ़िक़्हिया

मसअ्ला :– मुसलमान, आ़किल, बालिग़, नातिक़, ग़ैर मुज़तर, बिला इकराहे शरई ख़म्र का एक क़तरा भी पीये तो उस पर हद्द क़ाइम की जायेगी जब कि उसे उस का हराम होना मालूम हो काफ़िर मजनून या नाबालिग़ या गूँगे ने पी तो हद्द नहीं यूँहीं अगर प्यास से मरा जाता था और

पानी न था कि पीकर जान बचाता और इतनी पी कि जान बच जाये तो हद नहीं और अगर ज़रूरत से ज़्यादा पी तो हद है यूँहीं अगर किसी ने शराब पीने पर मजबूर किया यानी इकराहे शरई पाया गया तो हद नहीं शराब की हुरमत को जानता हो उस की दो सूरतें हैं एक यह कि वाके़अ् में उसे मा़लूम हो कि यह हराम है दूसरे यह कि दारुलइस्लाम में रहता हो तो अगर्चे न जानता हो हुक्म यही दिया जायेगा कि उसे मालूम है क्योंकि दारुलइस्लाम में जहल उ़ज़्र नहीं लिहाज़ा अगर कोई हर्बी दारुलहर्ब से आकर मुशर्रफ़ बइस्लाम हुआ और शराब पी और कहता है मुझे मा़लूम न था कि यह हराम है तो हद नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– शराब पी और कहता है मैंने दूध या शरबत उसे तसव्वुर किया था या कहता है कि मुझे मा़लूम न था कि यह शराब है तो हद है और अगर कहता है मैंने उसे नबीज़ समझा था तो हद नहीं (बहर)

मसअ्ला :– अंगूर का कच्चा पानी जब ख़ुद जोश खाने लगे और उस में झाग पैदा हो जाये उसे ख़म्र कहते हैं उस के साथ पानी मिला दिया हो और पानी कम हो जब भी ख़ालिस के हुक्म में है कि एक क़तरा पीने पर भी हद क़ाइम होगी और पानी ज़्यादा है तो जब तक नशा न हो हद नहीं और अगर अँगूर का पानी पका लिया गया तो जब तक उसके पीने से नशा न हो हद नहीं और अगर ख़म्र का अ़र्क़ खींचा तो उस अ़र्क़ का भी वही हुक्म है कि एक क़तरा पर भी हद है(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ख़म्र के अ़लावा और शराबें पीने से हद उस वक़्त है कि नशा आजाये (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला : – शराब पीकर ह़रम में दाख़िल हो तो हद है मगर जबकि ह़रम में पनाह ली तो हद नहीं और ह़रम में पी तो हद है दारुलहरब में पीने से भी हद नहीं (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– नशा की ह़ालत में हद क़ाइम न करें बल्कि नशा जाते रहने के बा़द क़ाइम करें और नशा की ह़ालत में क़ाइम कर दी तो नशा जाने के बा़द फिर इआ़दा करें (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला : – शराब ख़ोर पकड़ा गया और उस के मुँह में अभी तक बू मौजूद है अगर्चे इफ़ाक़ा हो गया हो या नशे की ह़ालत में लाया गया और गवाहों से शराब पीना साबित हो गया तो हद है और अगर जिस वक़्त उन्होंने पकड़ा था उस वक़्त नशा था और बू थी मगर अ़दालत दूर है वहाँ तक लाते लाते नशा और बू जाती रही तो हद है जब कि गवाह बयान करें कि हम ने जब पकड़ा था उस वक़्त नशा था और बू थी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– नशा वा़ला अगर होश आने के बा़द शराब पीने का ख़ुद इक़रार करे और हुनूज़ बू मौजूद है तो हद है और बू जाती रहने के बा़द इक़रार किया तो हद नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– नशा यह है कि बात चीत साफ़ न कर सके और कलाम का अकसर हिस्सा हज़यान हो अगर्चे कुछ बातें ठीक भी हों (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– शराब पीने का सुबूत फ़कत मुँह में शराब की सी बद बू आने बल्कि कै में शराब निकलने से भी न होगा यानी फ़कत इतनी बात से कि बू पाई गई या शराब की कै की हद क़ाइम न करेंगे कि हो सकता है ह़ालते इज़्तिरार या इकराह में पी हो मगर बू या नशा की सूरत में तअ्ज़ीर करेंगे जब कि सुबूत न हो और उस का सुबूत दो मर्दों की गवाही से होगा और एक मर्द और दो औ़रतों ने शहादत दी तो हद क़ाइम करने के लिए यह सुबूत न हुआ (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– क़ाज़ी के सामने जब गवाहों ने किसी शख़्स के शराब पीने की शहादत दी तो क़ाज़ी

उन से चन्द सवाल करेगा ख़म्र किस को कहते हैं? उस ने किस तरह पी अपनी ख़्वाहिश से या इकराह की हालत में? कब पी? और कहाँ पी? क्योंकि तमादी की सूरत में या दारुलहरब में पीने से हद नहीं जब गवाह इन उमूर के जवाब दे लें तो वह शख़्स जिस के ऊपर यह शहादत गुज़री रोक लिया जाये और गवाहों की अदालत के मुतअ़ल्लिक़ सवाल करे अगर उन का आ़दिल होना साबित होजाये तो हद का हुक्म दिया जाये गवाहों का बज़ाहिर आ़दिल होना काफ़ी नहीं जब तक उस की तहक़ीक़ न हो ले (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– गवाहों ने जब बयान किया कि उस ने शराब पी और किसी ने मजबूर न किया था तो उस का यह कहना कि मुझे मजबूर किया गया सुना न जायेगा (बहर)

मसअ्ला :– गवाहों में अगर बाहम इख़्तिलाफ़ हुआ एक सुब्ह का वक़्त बताता है दूसरा शाम का या एक ने कहा शराब पी दूसरा कहता है शराब की कै़ की या एक पीने की गवाही देता है और दूसरा उस की कि मेरे सामने इक़रार किया है तो सुबूत न हुआ और हद क़ाइम न होगी(दुर्रे मुख़्तार)मगर इन सब सूरतों में सज़ा देंगे।

मसअ्ला :– अगर ख़ुद इक़रार करता हो तो एक बार इक़रार काफ़ी है हद क़ाइम करदेंगे जब कि इक़रार होश में करता हो और नशा में इक़रार किया तो काफ़ी नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– किसी फ़ासिक़ के घर में शराब पाई गई या चन्द शख़्स एकटठे हैं और वहाँ शराब पीने बैठा करते हैं अगर्चे उन्हें पीते हुए किसी ने नहीं देखा तो उन पर हद नहीं मगर सब को सज़ा दीजाये। (रद्दुल मुह्तार)

मसअ्ला : – उस की हद में अस्सी कोड़े मारे जायेंगे और ग़ुलाम को चालीस और बदन के मुतफ़र्रिक़ हिस्सों में मारेंगे जिस तरह हद्दे ज़िना में बयान हुआ (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला : – नशा की हालत में तमाम वह अहकाम जारी होंगे जो होश में होते हैं मसलन अपनी ज़ौजा को तलाक़ देदी तो तलाक़ होगई या अपना कोई माल बेचडाला तो बैअ़ हो गई सिर्फ़ चन्द बातों में उस के अहकाम अ़लाहिदा हैं 1.अगर कोई कलिमा–ए–कुफ़्र बका तो उसे मुर्तद का हुक्म न देंगे यानी उस की औ़रत बाइन न होगी रहा यह कि इन्दल्लाह भी काफ़िर होगा या नहीं अगर क़स्दन कुफ़्र बका है तो इन्दल्लाह काफ़िर है वरना नहीं 2.जो हुदूद ख़ालिस हक़्क़ुल्लाह हैं उन का इक़रार किया तो इक़रार सहीह नहीं इसी वजह से अगर शराब पीने का नशा की हालत में इक़रार किया तो हद नहीं 3.अपनी शहादत पर दूसरे को गवाह नहीं बना सकता 4.अपने छोटे बच्चा का महर मिस्ल से ज़्यादा पर निकाह नहीं कर सकता 5.अपनी नाबालिग़ा लड़की का महर मिस्ल से कम पर निकाह नहीं कर सकता 6.किसी ने होश के वक़्त उसे वकील किया था कि यह मेरा सामान बेच दे और नशा में बेचा तो बैअ़ न हुई 7.किसी ने होश में वकील किया था कि तू मेरी औ़रत को तलाक़ देदे और नशा में उस की औ़रत को तलाक़ दी तो तलाक़ न हुई(दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुह्तार)

मसअ्ला :– भंग और अफ़यून पीने से नशा हो तो हद क़ाइम न करेंगे मगर सज़ा दी जाये और उन से नशा की हालत में तलाक़ दी तो हो जायेगी जब कि नशा के लिए इस्तिमाल की हो और अगर इलाज के तौर पर इस्तिमाल की हो तो नहीं (रद्दुल मुह्तार)

मसअ्ला :– हद मारी जा रही थी भाग गया फिर पकड़ कर लाया गया तो तमादी आगई है तो

छोड़देंगे वरना बक़ाया पूरी करें और अगर दो बारा फिर पी और हद्द क़ाइम करने के बाद है तो दूसरी मरतबा फिर हद्द क़ाइम करें और अगर पहले बिलकुल नहीं मारी गई या कुछ कोड़े मारे थे कुछ बाक़ी थे तो अब दूसरी बार के लिए हद्द मारें पहली उसी में मुतादाख़िल हो गई(दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुह॰)

हद्दे क़ज़फ़ का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

وَ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا

तर्जमा :– "और जो लोग मुसलमान मर्द और औरतों को नाकर्दा बातों से ईज़ा देते हैं उन्होंने बुहतान और खुला हुआ गुनाह उठाया"

और फ़रमाता है

وَ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّ لَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًاۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَۙ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ اَصْلَحُوْاۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

तर्जमा :– "और जो लोग पारसा औरतों को तोहमत लगाते हैं फिर चार गवाह न लायें उन को अस्सी कोड़े मारो और उन की गवाही कभी क़बूल न करो वह और लोग फ़ासिक़ हैं मगर वह कि उस के बाद तौबा करें और अपनी हालत दुरुस्त कर लें तो बेशक अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है"

सहीह मुस्लिम शरीफ़ में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अ़न्हु से मरवी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स अपने ममलूक पर ज़िना की तोहमत लगाये क़ियामत के दिन उस पर हद्द लगाई जायेगी मगर जब कि वाक़ेअ़ में वह ग़ुलाम वैसा ही है जैसा उस ने कहा अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ इकरमा से रिवायत करते हैं वह कहते हैं एक औ़रत ने अपनी बान्दी को ज़ानिया कहा अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा ने फ़रमाया तूने ज़िना करते देखा है उस ने कहा नहीं फ़रमाया क़सम है उसकी जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है क़ियामत के दिन उस की वजह से लोहे के अस्सी कोड़े तुझे मारे जायेंगे।

मसअ्ला :– किसी को ज़िना की तोहमत लगाने को क़ज़फ़ कहते हैं और यह कबीरा गुनाह है यूँहीं लवात़त की तोहमत भी कबीरा गुनाह है मगर लवात़त की तोहमत लगाई तो हद्द नहीं बल्कि तअ़्ज़ीर है लवात़त और ज़िना की तोहमत लगाने वाले पर हद्द है हद्दे क़ज़फ़ आज़ाद पर अस्सी कोड़े हैं और ग़ुलाम पर चालीस (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ज़िना के अ़लावा और किसी गुनाह की तोहमत को क़ज़फ़ न कहेंगे न उस पर हद्द है अल्बत्ता बाज़ सूरतों में तअ़्ज़ीर है जिस का बयान इन्शाअल्लाह तआ़ला आयेगा (बहर)

मसअ्ला :– क़ज़फ़ का सुबूत दो मर्दों की गवाही से होगा या उस तोहमत लगाने वाले के इक़रार से और इस जगह औरतों की गवाही या शहादत अ़लश्शहादत काफ़ी नहीं बल्कि एक क़ाज़ी ने अगर दूसरे क़ाज़ी के पास लिख भेजा कि मेरे नज़दीक क़ज़फ़ का सुबूत हो चुका है और किताबुल क़ाज़ी के शराइत भी पाये जायें जब भी यह दूसरा क़ाज़ी हद्दे क़ज़फ़ क़ाइम नहीं कर सकता यूँही अगर क़ाज़िफ़ ने क़ज़फ़ से इन्कार किया और गवाहों से सुबुत न हुआ तो उस से हलफ़ न लेंगे और अगर उस पर हल्फ़ रखा गया और उस ने क़सम खाने से इन्कार कर दिया तो

हद क़ाइम न करेंगे और अगर गवाहों में बाहम इख़्तिलाफ़ हुआ एक गवाह क़ज़फ़ का कुछ वक़्त बताता है और दूसरा गवाह दूसरा वक़्त कहता है तो यह इख़्तिलाफ़ मोअ्तबर नहीं यानी हद जारी करेंगे और अगर एक ने क़ज़फ़ की शहादत दी और दूसरे ने इक़रार की या एक कहता है मसलन फ़ारिसी ज़बान मेंतोहमत लगाई और दूसरा यह बयान करता है कि उर्दू में तो हद नहीं (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जब इस क़िस्म का दअ्वा क़ाज़ी के यहाँ हुआ और गवाह अभी नहीं लाया है तो तीन दिन तक क़ाज़िफ़ को महबूस (क़ैद) रखेंगे और उस शख़्स से गवाहों का मुतालबा होगा अगर तीन दिन के अन्दर गवाह लाया फ़बिहा वरना उसे रिहा करदेंगे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– तोहमत लगाने वाले पर हद वाजिब होने के लिए चन्द शर्तें हैं जिस पर तोहमत लगाई वह मुसलमान आ़क़िल, बालिग़, आज़ाद, पारसा हो और तोहमत लगाने वाले का न वह लड़का हो न पोता और न गूँगा हो, न ख़स्सी, न उस का अ़ज़्व तनासुल जड़ से कटा हो, न उस ने निकाह फ़ासिद के साथ वती की, और अगर औ़रत को तोहमत लगाई तो वह ऐसी न हो जिस से वती न की जा सके, और वक़्ते हद तक वह शख़्स मुह़सन हो लिहाज़ा मआ़ज़ल्लाह क़ज़फ़ के बाद मुरतद हो गया या मजनून या बोहरा हो गया या वती ह़राम की या गूँगा हो गया तो हद नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला : – जिस औ़रत को उस ने तीन तलाक़ें या तलाक़े बाइन दी और ज़माना–ए–इद्दत में उस से वती की या किसी लौन्डी से वती की फिर उस के ख़रीदने या उस से निकाह करने का दअ्वा किया या मुश्तरक लौन्डी थी उस से वती की या किसी औ़रत से जबरन ज़िना किया या ग़लती से ज़ौजा के बदले दूसरी औ़रत उस के यहाँ रुख़सत कर दी गई और उस ने उस से वती की या ज़माना–ए–कुफ़्र में ज़िना किया था फिर मुसलमान हुआ या हालते जुनून में ज़िना किया या जो बान्दी उस पर हमेशा के लिए ह़राम थी उस से वती की या जो बान्दी उस के बाप की मोतूहा (जिस से वती की हो)थी उसे उस ने ख़रीदा और वती की या उस की माँ से उस ने ख़ुद वती की थी अब इस लड़की को ख़रीदा और वती की इन सब सूरतों में अगर किसी ने उस शख़्स पर ज़िना की तोहमत लगाई तो उस पर हद नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– हुर्रा उस के निकाह में है उस के होते हुए बान्दी से निकाह किया या ऐसी दो औ़रतों को निकाह में जमअ् किया जिन का जमअ् करना ह़राम था दो बहनें या फूफी भतीजी और वती की या उस के निकाह में चार औ़रतें मौजूद हैं और पाँचवीं से निकाह कर के जिमाअ् किया या किसी औ़रत से निकाह कर के वती की बाद को मालूम हुआ कि यह औ़रत मुसाहिरत की वजह से उस पर ह़राम थी फिर किसी ने ज़िना की तोहमत लगाई तो लगाने वाले पर हद नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी औ़रत से बग़ैर गवाहों के निकाह किया या शौहर वाली औ़रत से जान बूझ कर निकाह किया या जान बूझ कर इद्दत के अन्दर या उस औ़रत से निकाह किया जिस से निकाह ह़राम है और उन सब सूरतों में वती भी की तो तोहमत लगाने वाले पर हद नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिस औ़रत पर हद्दे ज़िना क़ाइम हो चुकी है उस को किसी ने तोहमत लगाई या ऐसी औ़रत पर तोहमत लगाई जिस में ज़िना की अ़लामत मौजूद है मसलन मियाँ बीवी में क़ाज़ी ने लिआ़न कराया और बच्चा का नसब बाप से मुन्क़तअ् कर के औ़रत की तरफ़ मन्सूब कर दिया या औ़रत के बच्चा है जिस का बाप मालूम नहीं तो उन सब सूरतों में तोहमत लगाने वाले पर हद नहीं

और अगर लिआन बग़ैर बच्चा के हुआ या बच्चा मौजूद था मगर उस का नसब बाप से नहीं काटा या नसब भी काट दिया मगर बाद में शौहर ने अपना झूटा होना बयान किया और बच्चा बाप की तरफ़ मन्सूब कर दिया गया तो उन सूरतों में औरत पर तोहमत लगाने से हद है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिस औरत को उस ने शहवत के साथ छुआ या शर्मगाह की तरफ़ शहवत के साथ नज़र की अब उस की माँ या बेटी को ख़रीद कर या निकाह कर के वती की या जिस औरत को उस के बाप या बेटे ने उसी तरह छुआ या नज़र की थी उस को उस ने ख़रीद कर या निकाह कर के वती की और किसी ने ज़िना की तोहमत लगाई तो उस पर हद है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अपनी औरत से हैज़ में जिमाअ् किया या औरत से ज़िहार किया और बग़ैर कफ़्फ़ारा दिए जिमाअ् किया या औरत रोज़ा दार थी और शौहर को मालूम भी था और जिमाअ् किया तो इन सूरतें में तोहमत लगाने वाले पर हद है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– ज़िना की तोहमत लगाई और हद क़ाइम होने से पहले उस शख़्स ने ज़िना किया जिस पर तोहमत लगाई या किसी ऐसी औरत से वती की जिस से वती हराम थी या मआज़ल्लाह मुरतद हो गया अगर्चे फिर मुसलमान हो गया तो इन सब सूरतों में हद साकित हो गई (बह्र)

मसअ्ला :– हद्दे क़ज़फ़ उस वक़्त क़ाइम होगी जब सरीह लफ़्ज़ ज़िना से तोहमत लगाई मसलन तू ज़ानी है, या तूने ज़िना किया, तू ज़िना कार है, और अगर सरीह लफ़्ज़ न हो मसलन यह कि तूने वती हराम की, या तूने हराम तौर पर जिमाअ् किया, तो हद नहीं और अगर यह कहा कि मुझे ख़बर मिली है कि तू ज़ानी है या मुझे फुलाँ ने अपनी शहादत पर गवाह बनाया है कि तू ज़ानी है या कहा तू फुलाँ के पास जाकर उस से कह कि तू ज़ानी है और क़ासिद ने यूँहीं जाकर कह दिया तो हद नहीं (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर कहा कि तू अपने बाप का नहीं या उस के बाप का नाम ले कर कहा कि तू फुलाँ का बेटा नहीं हांलाँकि उस की माँ पाक दामन औरत है अगर्चे यह शख़्स जिस को कहा गया कैसा ही हो तो हद है जब कि यह अल्फ़ाज़ गुस्सा में कहे हों और अगर रज़ा मन्दी में कहे तो हद नहीं क्योंकि उसके यह मअ्ना बन सकते हैं कि तू अपने बाप से मुशाबा नहीं मगर पहली सूरत में शर्त यह है कि जिस पर तोहमत लगाई वह हद का तालिब हुआ अगर्चे तोहमत लगाने के वक़्त वहाँ मौजूद न था और अगर कहा कि तू अपने बाप माँ का नहीं या तू अपनी माँ का नहीं तो हद नहीं।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर दादा या, चचा या मामूँ या मुरब्बी का नाम लेकर कहा कि तू उस का बेटा है तो हद नहीं क्योंकि उन लोगों को भी मजाज़न बाप कह दिया करते हैं(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला : – किसी शख़्स को उस की क़ौम के सिवा दूसरी क़ौम की तरफ़ निस्बत करना या कहना कि तू उस क़ौम का नहीं है सबबे हद नहीं फिर अगर किसी ज़लील क़ौम की तरफ़ निस्बत किया तो मुस्तहक़े तअ्ज़ीर है जब कि हालते गुस्सा में कहा हो कि यह गाली है और गाली में सज़ा है (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)अगर किसी शख़्स ने बहादुरी का काम किया उस पर कहा कि यह पठान है तो उस में कुछ नहीं कि यह न तोहमत है न गाली।

मसअ्ला :– किसी अफ़ीफ़ा औरत को रन्डी या कस्बी कहा तो यह क़ज़फ़ है और हद का मुस्तहक़ है कि यह लफ़्ज़ उन्हीं के लिए हैं जिन्होंने ज़िना को पेशा कर लिया है।

मसअला :– वलदुज़्ज़िना या ज़िना का बच्चा कहा या औरत को ज़ानी कहा तो हद है और अगर किसी को हराम ज़ादा कहा तो हद नहीं क्योंकि उस के यह मअ्ना हैं कि वती–ए–हराम से पैदा हुआ और वती हराम के लिए ज़िना होना ज़रूर नहीं इस लिए कि हैज़ में वती हराम है और जब अपनी औरत से है तो ज़िना नहीं (दुर्रे मुख़्तार) और हराम ज़ादा में हद न होने की यह वजह भी है कि उर्फ़ में बाज़ लोग शरीर के लिए यह लफ़्ज़ इस्तिमाल करते हैं यूँहीं हरामी या हैज़ी बच्चा या वलदुलहराम कहने पर भी हद नहीं।

मसअला :– औरत को अगर जानवर, बैल, घोडे, गधे, से फ़ेअ्ल कराने की गाली दी तो उस में सज़ा दी जायेगी।

मसअला :– जिस को तोहमत लगाई वह अगर मुतालबा करे तो हद क़ाइम होगी वरना नहीं यानी उस की ज़िन्दगी में दूसरे को मुतालबा का हक़ नहीं अगर्चे वह मौजूद न हो कहीं चला गया हो या तोहमत के बाद मरगया बल्कि मुतालबा के बाद चन्द कोड़े मारने के बाद इन्तिक़ाल हुआ तो बाक़ी साक़ित है हाँ अगर उस का इन्तिक़ाल हो गया और उस के वुरसा में वह शख़्स मुतालबा करे जिस के नसब पर उस तोहमत की वजह से हर्फ़ आता है तो उस के मुतालबा पर भी हद क़ाइम कर दी जायेगी मसलन उस के दादा या दादी या बाप या माँ या बेटा या बेटी पर तोहमत लगाई और जिसे तोहमत लगाई मर चुका है तो उस को मुतालबा का हक़ है वारिस से मुराद वही नहीं जिसे तरका पहुँचता है बल्कि महजूब या महरूम भी मुतालबा कर सकता है मसलन मय्यत का बेटा अगर मुतालबा न करे तो पोता मुतालबा कर सकता है अगर्चे महजूब है या उस वारिस ने अपनी मोरिस को मार डाला है या गुलाम या काफ़िर है तो उन को मुतालबा का इस्तिहक़ाक़ है अगर्चे महरूम हैं यूँहीं नवासा और नवासी को भी मुतालबा का हक़ है (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी)

मसअला :– क़रीबी रिश्तेदार ने मुतालबा न किया या मुआफ़ कर दिया तो दूर के रिश्ते वाले का हक़ साक़ित न होगा बल्कि यह मुतालबा कर सकता है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– किसी के बाप और माँ दोनों पर तोहमत लगाई और दोनों मरचुके हैं तो उस के मुतालबा पर हद क़ाइम होगी मगर एक ही हद होगी दो नहीं यूँहीं अगर वह दोनों ज़िन्दा हैं जब भी दोनों के मुतालबा पर एक ही हद होगी कि जब चन्द हद्दें जमअ् हों तो एक ही क़ाइम की जायेगी(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला : – किसी पर एक ने तोहमत लगाई और हद क़ाइम हुई फिर दूसरे ने तोहमत लगाई तो दूसरे पर भी हद क़ाइम करेंगे (आलमगीरी)

मसअला :– अगर चन्द हद्दें मुख़्तलिफ़ क़िस्म की जमअ् हों मसलन उस ने तोहमत भी लगाई है और शराब भी पी और चोरी भी की और ज़िना भी किया तो सब हद्दें क़ाइम कीजायेंगी मगर एक साथ सब क़ाइम न करें कि उस में हलाक हो जाने का ख़ौफ़ है बल्कि एक क़ाइम करने के बाद इतने दिनों उसे क़ैद में रखें कि अच्छा हो जाये फिर दूसरी क़ाइम करें और सब से पहले हद्दे क़ज़फ़ जारी करें उस के बाद इमाम को इख़्तियार है कि, पहले ज़िना की हद क़ाइम करें या चोरी की बिना पर हाथ पहले काटें यानी उन दोनों में तक़दीम व ताख़ीर का इख़्तियार है फिर सब के बाद शराब पीने की हद मारें (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर किसी ने किसी की आँख भी फोड़ी है और वह चारों चीज़ें भी की हैं तो पहले

आँख फोड़ने की सज़ा दी जाये यानी उस की भी आँख फोड़ दी जाये फिर हद्दे क़ज़फ़ क़ाइम की जाये उस के बाद रज्म कर दिया जाये अगर मुहसन हो और बाक़ी हद्दें साक़ित और मुहसन न हो तो उसी तरह अमल करें और अगर एक ही क़िस्म की चन्द हद्दें हों मसलन चन्द शख़्सों पर तोहमत लगाई या एक शख़्स पर चन्द बार तो एक हद है हाँ अगर पूरी हद क़ाइम करने के बाद फिर दूसरे शख़्स पर तोहमत लगाई तो अब दोबारा हद क़ाइम होगी और अगर उसी पर दोबारा तोहमत हो तो नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– बाप ने बेटे पर ज़िना की तोहमत लगाई या मौला ने ग़ुलाम पर तो लड़के या ग़ुलाम को मुतालबा का हक़ नहीं यूँहीं माँ या दादा दादी ने तोहमत लगाई यानी अपनी असल से मुतालबा नहीं कर सकता यूँहीं अगर मरी ज़ौजा पर तोहमत लगाई तो बेटा मुतालबा नहीं कर सकता हाँ अगर उस औरत का दूसरा ख़ाविन्द से लड़का है तो यह लड़का या औरत का बाप है तो यह मुतालबा कर सकता है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– तोहमत लगाने वाले ने पहले इक़रार किया कि हाँ तोहमत लगाई है फिर अपने इक़रार से रुजूअ् कर गया यानी अब इन्कार करता है तो अब रुजूअ् मोअ्तबर नहीं यानी मुतालबा हो तो हद क़ाइम करेंगे यूँहीं अगर बाहम सुलह कर लें और कुछ मुआविज़ा लेकर मुआफ़ कर दें या बिला मुआविज़ा मुआफ़ कर दे तो हद मुआफ़ न होगी यानी अगर फिर मुतालबा करे तो कर सकता है और मुतालबा पर हद क़ाइम होगी (फ़त्हुल क़दीर वग़ैरा)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने दूसरे से कहा तू ज़ानी है उसने जवाब में कहा कि नहीं बल्कि तू है तो दोनों पर हद है कि हर एक ने दूसरे पर तोहमत लगाई और एक ने दूसरे को ख़बीस कहा दूसरे ने कहा नहीं बल्कि तू है तो किसी पर सज़ा नहीं कि उस में दोनों बराबर होगये और तोहमत में चूँकि हक़्क़ुल्लाह ग़ालिब है लिहाज़ा हद साक़ित न होगी कि वह अपने हक़ को साक़ित कर सकते हैं हक़्क़ुल्लाह को साक़ित करना उन के इख़्तियार में नही(बहर वग़ैरा)

मसअ्ला :– शौहर ने औरत को ज़ानिया कहा औरत ने जवाब में कहा कि नहीं बल्कि तू औरत पर हद है मर्द पर नहीं और लिआन भी न होगा कि हद्दे क़ज़फ़ के बाद औरत लिआन के क़ाबिल न रही और अगर औरत ने जवाब में कहा कि मैंने तेरे साथ ज़िना किया है तो हद व लिआन कुछ नहीं कि उस कलाम के दो एहतिमाल हैं एक यह कि निकाह के पहले तेरे साथ ज़िना किया दूसरा यह कि निकाह के बाद तेरे साथ हम बिस्तिरी हुई। और उस को ज़िना से तअ्बीर किया तो जब कलाम मोहतमिल (दो मअ्ना में शक हो कि कौन सा मुराद है) है तो हद साक़ित, हाँ अगर जवाब में औरत ने तस्रीह कर दी कि निकाह से पहले मैंने तेरे साथ ज़िना किया तो औरत पर हद है और अगर अजनबी औरत से मर्द ने यह बात कही और उस औरत ने यही जवाब दिया तो औरत पर हद है कि वह ज़िना का इक़रार करती है और मर्द पर कुछ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ज़िना की तोहमत लगाई और चार गवाह ज़िना के पेश कर दिए या मक़ज़ूफ़ ने ज़िना का चार बार इक़रार कर लिया तो जिस पर तोहमत लगाई है उस पर ज़िना की हद क़ाइम की जायेगी और तोहमत लगाने वाला बरी है और अगर फ़िलहाल गवाह लाने से आजिज़ है और मुहलत माँगता है कि वक़्त दिया जाये तो शहर से गवाह तलाश कर लाऊँ तो उसे कचहरी के वक़्त

तक मुहलत दी जायेगी और ख़ुद उसे जाने न देंगे बल्कि कहा जायेगा कि किसी को भेजकर गवाहों को बुला ले अगर चार फ़ासिक़ गवाह पेश कर दिए तो सब से हद साक़ित है न क़ाज़िफ़ पर हद है न मक़जूफ़ पर न गवाहों पर (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– किसी ने दअ्वा किया कि मुझ पर फ़ुलाँ ने ज़िना की तोहमत लगाई और सुबूत में दो गवाह पेश किए मगर गवाहों के मुख़्तलिफ़ बयान हुए एक कहता है फ़ुलाँ जगह तोहमत लगाई दूसरा दूसरी जगह का नाम लेता है तो हद्दे क़ज़फ़ क़ाइम करेंगे (आलमगीरी)

मसअ्ला :– हद्दे क़ज़फ़ में सिवा पोस्तीन और रूई भरे हुए कपड़े के कुछ न उतारें (बह्र)

मसअ्ला :– जिस शख़्स पर हद्दे क़ज़फ़ क़ाइम की गई उस की गवाही किसी मुआमला में मक़बूल नहीं हाँ इबादात में क़बूल करलेंगे यूँहीं अगर काफ़िर पर हद्दे क़ज़फ़ जारी हुई तो काफ़िरों के ख़िलाफ़ भी उस की गवाही मक़बूल नहीं हाँ अगर इस्लाम लाये तो उस की गवाही मक़बूल है अगर कुफ़्र के ज़माना में तोहमत लगाई और मुसलमान होने के बाद हद क़ाइम हुई तो उस की गवाही भी कभी किसी मुआमला में मक़बूल नहीं यूँहीं गुलाम पर हद्दे क़ज़फ़ जारी हुई फिर आज़ाद हो गया तो गवाही मक़बूल नहीं और अगर किसी पर हद क़ाइम की जारही थी और दरमियान में भाग गया तो अगर बाद में बाक़ी हद पूरी कर ली गई तो अब मक़बूल नहीं और पूरी नहीं की गई तो मक़बूल है हद क़ाइम होने के बाद अपनी सच्चाई पर चार गवाह पेश किए जिन्होंने ज़िना की शहादत दी तो अब इस तोहमत लगाने वाले की गवाही आइन्दा मक़बूल होगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– बेहतर यह है कि जिस पर तोहमत लगाई गई मुतालबा न करे और अगर दअ्वा कर दिया तो क़ाज़ी के लिए मुस्तहब यह है कि जब तक सुबूत न पेश हो मुद्दई को दर गुज़र करने की तरफ़ तवज्जह दिलाये (आलमगीरी)

तअ्ज़ीर का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

يٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ یَّكُوْنُوْا خَیْرًا مِّنْهُمْ وَ لَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰۤى اَنْ یَّكُنَّ خَیْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَ لَا تَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِیْمَانِ ۚ وَ مَنْ لَّمْ یَتُبْ فَاُولٰٓىٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ۝

तर्जमा :– "ऐ ईमान वालो न मर्द मर्द से मसख़रापन करें अजब नहीं वह उन हँसने वालों से बेहतर हों और न औरतें औरतों से दूर नहीं कि वह उन से बेहतर हों और आपस में तअ्ना न दो और बुरे लक़बों से न पुकारो कि ईमान के बाद फ़ासिक़ कहलाना बुरा नाम है और जो तौबा न करे वही ज़ालिम है"

तिर्मिज़ी ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब एक शख़्स दूसरे को यहूदी कह कर पुकारे तो उसे बीस कोड़े मारो और मुख़न्नस कहकर पुकारे तो बीस मारो और अगर कोई अपने मुहारिम से (वह जिन से निकाह हराम है) ज़िना करे तो उसे क़त्ल कर डालो बैहक़ी ने रिवायत की कि हज़रते अमीरुलमोमिनीन अली रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया कि अगर एक शख़्स दूसरे

को कहे ऐ काफ़िर, ऐ ख़बीस, ऐ फ़ासिक़, ऐ गधे तो उस में कोई हद्द मुक़र्रर नहीं हाकिम को इख़्तियार है जो मुनासिब समझे सज़ा दे बैहक़ी नोअ्मान इब्ने बशीर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर अक़्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स ग़ैर हद्द को हद्द तक पहुँचादे(यानी वह सज़ा दे जो हद्द में है)वह हद से गुज़रने वालों में है।

मसअला :– किसी गुनाह पर बग़र्ज़ तादीब जो सज़ा दी जाती है उस को तअ्ज़ीर कहते हैं शरअ् ने उस के लिए कोई मिक़दार मुअय्यन नहीं की है बल्कि उस को क़ाज़ी की र'ए पर छोड़ा है जैसा मोक़अ् हो उस के मुताबिक़ अमल करे तअ्ज़ीर का इख़्तियार सिर्फ़ बादशाहे इस्लाम ही को नहीं बल्कि शौहर बीवी, को आक़ा ग़ुलाम को, माँ बाप अपनी औलाद को, उस्ताज़ शागिर्द को, तअ्ज़ीर कर सकता है(रद्दुल मुहतार वग़ैरा)इस ज़माना में कि हिन्दुस्तान में इस्लामी हकूमत नहीं और लोग बे धड़क बिला ख़ौफ़ व ख़तर मआसी करते और उन पर इसरार करते हैं और कोई मनअ् करे तो बाज़ नहीं आते अगर मुसलमान मुत्तफ़िक़ होकर ऐसी सज़ाऐं तजवीज़ करें जिन से इब्रत हो और यह बेबाकी और जुरअत का सिलसिला बन्द हो ज़ाये तो निहायत मुनासिब व अनसब होगा। बाज़ क़ौमों में बाज़ मआसी पर ऐसी सज़ाए दी जाती हैं मसलन हुक़्क़ा पानी उस का बन्द कर देते हैं और न उस के यहाँ खाते न अपने यहाँ उस को खिलाते हैं जब तक तौबा न कर ले और उस की वजह से उन लोगों में ऐसी बातें कम पाई जाती हैं जिन पर उन के यहाँ सज़ा हुआ करती है मगर काश वह तमाम मआसी के इनसिदाद रोकथाम में ऐसी ही कोशिश करते और अपने पंचायती क़ानून को छोड़ कर शरअ् मुतह्हर के मुवाफ़िक़ फ़ैसला देते और अहकाम सुनाते तो बहुत बेहतर होता नीज़ दूसरी क़ौमें भी अगर उन लोगों से सबक़ हासिल करें और यह भी अपने अपने मुवाफ़िक़ इक़्तिदार में ऐसा ही करें तो बहुत मुमकिन है कि मुसलमानों की हालत दुरुस्त हो जाये बल्कि एक ही क्या अगर अपने दीगर मुआमलात व मुनाज़आत में भी शरअ् मुतह्हर का दामन पकड़ें और रोज़ मर्रा की तबाह कुन मुक़द्दमा बाज़ियों से दस्त बरदारी करें तो दीनी फ़ाइदे के अलावा उन की दुनियावी हालत भी संभल जाये और बड़े फ़वाइद हासिल करें मुक़द्दमा बाज़ी के मसारिफ़ से ज़ेर बार भी न हों और उस सिलसिले के दराज़ होने से बुग्ज़ व अदावत जो दिलों में घर कर जाती है उस से भी महफ़ूज़ रहें।

मसअला :– गुनाहों की मुख़्तलिफ़ हालतें हैं कोई बड़ा कोई छोटा और आदमी भी मुख़्तलिफ़ किस्म के हैं कोई हयादार बा इज़्ज़त और ग़ैरत वाला होता है बाज़ बेबाक दिलैर होते हैं लिहाज़ा क़ाज़ी जिस मौक़े पर जो तअ्ज़ीर मुनासिब समझे वह अमल में लाये कि थोड़े से जब काम निकले तो ज़्यादा की क्या हाजत (रद्दुल मुहतार, बहर)

मसअला :– सादात व उलमा अगर वजाहत व इज़्ज़त वाले हों कि कबीरा तो कबीरा सग़ीरा भी नादिरन या बतौर लग़्ज़िश उन से सादिर हो तो उन की तअ्ज़ीर अदना दर्जा की होगी कि क़ाज़ी उन से अगर इतना ही कह दे कि आप ने ऐसा किया ऐसों के लिए इतना कहदेना ही बाज़ आने के लिए काफ़ी है और अगर यह लोग इस सिफ़त पर न हों बल्कि उन के अतवार ख़राब हो गये हों मसलन किसी को इस क़द्र मारा कि ख़ूना ख़ून हो गया या चन्द बार जुर्म का इरतिकाब किया या

शराब ख़ोरी के जलसा में बैठता है या लवाहत में मुबतला है तो अब जुर्म के लाइक़ सज़ा दी जायेगी ऐसी सूरतों में दुर्रे लगाये जायें या क़ैद किया जाये उन उ़लमा व सादात के बाद दूसरा मरतबा ज़मीनदार व ताजिरों और मालदारों का है कि उन पर दअ़्वा किया जायेगा और दरबारे क़ाज़ी में त़लब किए जायेंगे फिर क़ाज़ी उन्हें तम्बीह करेगा कि क्या तुम ने ऐसा किया है ऐसा न करो तीसरा दर्जा मुतवस्सित़ लोगों का है यानी बाज़ारी लोग कि ऐसे लोगों के लिए क़ैद है चौथा दर्जा ज़लीलों और कमीनों का है कि उन्हें मारा भी जाये मगर जुर्म जब इस क़ाबिल हो जब ही यह सज़ा है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– तअ्ज़ीर की बाज़ सूरतें यह हैं कि क़ैद करना, कोड़े मारना, गोशमाली करना, डाँटना तुर्शरूई से उस की त़रफ़ ग़ुस्सा की नज़र करना(ज़ैलई)

मसअ्ला :– अगर तअ्ज़ीर ज़र्ब से हो तो कम तीन अज़ कम कोड़े और ज़्यादा से ज़्यादा उंतालीस कोड़े लगाए जायें उस से ज़्यादा की इजाज़त नहीं यानी क़ाज़ी की राए में अगर दस, कोड़ों की ज़रूरत मालूम हो तो दस, बीस की हो तो बीस, तीस की हो तो तीस लगाये यानी जितने की ज़रूरत महसूस करता हो उस से कमी न करे हाँ अगर चालीस या ज़्यादा की ज़रूरत मालूम होती है तो उंतालीस से ज़्यादा न मारे बाक़ी के बदले दूसरी सज़ा करे मसलन क़ैद करदे कम अज़ कम तीन कोड़े यह बाज़ मुतून का क़ौल है और इमाम इब्ने हुमाम वग़ैरा फ़रमाते हैं कि अगर एक कोड़ा मारने से काम चले तो तीन की कुछ ह़ाजत नहीं और यही क़रीने क़यास भी है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर चन्द कोड़े मारे जायें तो बदन पर एक ही जगह मारे और बहुत से मारने हों तो मुतफ़र्रिक़ जगह मारे जायें कि अ़ज़्व बेकार न हो जाये (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– तअ्ज़ीर बिलमाल यानी जुर्माना लेना जाइज़ नहीं अगर देखे कि बग़ैर लिए बाज़ न आयेगा तो वुसूल कर ले फिर जब उस काम से तौबा कर ले वापस देदे (बहर वग़ैरा)पन्चायत में भी बाज़ क़ौमें बाज़ जगह जुरमाना लेती हैं उन्हें उस से बाज़ आना चाहिए।

मसअ्ला :– जिस मुसलमान ने शराब बेची उस को सज़ा दी जाये यूँहीं गवय्या और नाचने वाले और मुख़न्नस और नोहा करने वाली भी मुस्तहक़े तअ्ज़ीर है मुक़ीम बिला उ़ज़्रे शरई रमज़ान का रोज़ा न रखे तो मुस्तहक़े तअ्ज़ीर है और यह अन्देशा हो कि अब भी नहीं रखेगा तो क़ैद किया जाये (आलमगीरी)

मसअ्ला :– कोई शख़्स किसी की औ़रत या छोटी लड़की को भगा लेगया और उस का किसी से निकाह कर दिया तो उस पर तअ्ज़ीर है इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैहि फ़रमाते हैं कि क़ैद किया जाये यहाँ तक कि मरजाये या उसे वापस करे (आलमगीरी)

मसअ्ला : – एक शख़्स ने किसी मर्द को अजनबी औ़रत के साथ ख़ल्वत में देखा अगर्चे फ़ेअ्ल क़बीह में मुबतला न देखा तो चाहिए कि शोर करे या मारपीट करने से भाग जाये तो यही करे और अगर इन बातों का उस पर असर न पड़े तो अगर क़त्ल कर सके तो क़त्ल कर डाले और औ़रत उस के साथ राज़ी है तो औ़रत को भी मारडाले यानी उस के मारडालने पर क़िसास नहीं यूंहीं अगर औ़रत को किसी ने ज़बरदस्ती पकड़ा और किसी तरह उसे नहीं छोड़ता और आबरू जाने का गुमान है तो औ़रत से अगर हो सके उसे मारडाले (बहर, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— चोर को चोरी करते देखा और चिल्लाने या शोर करने या मारपीट करने पर भी बाज नहीं आता तो क़त्ल करने का इख़्तियार है यही हुक्म डाकू और अश्शार और हर ज़ालिम और कबीरा गुनाह करने वाले का है और जिस घर में नाच रंग शराब ख़ोरी की मज्लिस हो उस का मुहासिरा कर के घर में घुस पड़ें और ख़ुम तोड़ डालें और उन्हें निकाल बाहर करदें और मकान ढादें (दुर्रे मुख़्तार,बहर)

मसअ्ला :— यह अहकाम जो बयान किए गये उन पर उस वक़्त अमल कर सकता है जब उन गुनाहों में मुबतला देखे और बाद गुनाह कर लेने के अब उसे सज़ा देने का इख़्तियार नहीं बल्कि बादशाहे इस्लाम चाहे तो क़त्ल कर सकता है (दुर्रे मुख़्तार) क़त्ल वग़ैरा के मुतअ़ल्लिक़ जो कुछ बयान हुआ यह इस्लामी अहकाम हैं जो इस्लामी हुकूमत में हो सकते हैं मगर अब कि हिन्दुस्तान में इस्लामी सलतनत बाक़ी नहीं अगर किसी को क़त्ल करे तो ख़ुद क़त्ल किया जाये लिहाज़ा हालते मौजूदा में उन पर कैसे अ़मल हो सके उस वक़्त जो कुछ हम कर सकते हैं वह यह है कि ऐसे लोगों से मुक़ातअ़ा किया जाये और उन से मेल जोल नशिस्त व बरख़ास्त वग़ैरा तर्क करें।

मसअ्ला :— अगर जुर्म ऐसा है जिस में हद्द वाजिब होती है मगर किसी वजह से साक़ित हो गई तो सख़्त दरजा की तअ्ज़ीर होगी मसलन दूसरे की लौन्डी को ज़ानिया कहा तो यह सूरत हद्दे क़ज़फ़ की थी मगर चुँकि मुहसना नहीं है लिहाज़ा सख़्त क़िस्म की तअ्ज़ीर होगी और अगर उस में हद्द वाजिब नहीं मसलन किसी को ख़बीस कहा तो उस में तअ्ज़ीर की मिक़दार राए क़ाज़ी पर है (आलमगीरी)

मसअ्ला :— दो शख़्सों ने बाहम मारपीट की तो दोनों मुस्तहक़े तअ्ज़ीर हैं और पहले उसे सज़ादेंगे जिस ने इब्तिदा की (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— चौपाया के साथ बुरा काम किया या मुसलमान को थप्पड़ मारा या बाज़ार में उस के सर से पगड़ी उतारली तो मुस्तहक़े तअ्ज़ीर है (आलमगीरी)

मसअ्ला :— तअ्ज़ीर के दुर्रे सख़्ती से मारे जायें और ज़िना की हद्द में उस से नरम और शराब की हद्द में और नरम और क़ज़फ़ में सब से नरम (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— जो शख़्स किसी मुसमान को फ़ेअ्ल या क़ौल से ईज़ा पहुँचाए अगर्चे आँख या हाथ के इशारे से वह मुस्तहक़े तअ्ज़ीर है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— किसी मुसलमान को फ़ासिक़ फ़ाजिर, ख़बीस, लूती, सूद ख़ोर, शराब ख़ोर,ख़ाइन, दय्यूस, मुख़न्नस, भड़वा, चोर हरामज़ादा, वलदुलहराम, पलीद, सफ़ला, कमीन, जुवारी कहने पर तअ्ज़ीर की जाये यअ्नी जब कि वह शख़्स ऐसा न हो जैसा उस ने कहा और अगर वाक़ेअ् में यह उ़यूब उस में पाये जाते हैं और किसी ने कहा तो तअ्ज़ीर नहीं कि उस ने ख़ुद अपने को ऐबी बना रखा है उस के कहने से उसे क्या ऐब लगा (बहर वग़ैरा)

मसअ्ला :— किसी मुसलमान को फ़ासिक़ कहा और क़ाज़ी के यहाँ जब दअ्वा हुआ उस ने जवाब दिया कि मैंने उसे फ़ासिक़ कहा है क्योंकि यह फ़ासिक़ है तो उस का फ़ासिक़ होना गवाहों से साबित करना होगा और क़ाज़ी उस से दरयाफ़्त करे कि उस में फ़िस्क़ की क्या बात है अगर किसी ख़ास बात का सुबूत दे और गवाहों ने भी गवाही में उस ख़ास फ़िस्क़ को बयान किया तो तअ्ज़ीर है और अगर ख़ास फ़िस्क़ न बयान करें सिर्फ़ यह कहें कि फ़ासिक़ है तो क़ौल मोअ्तबर

नहीं और अगर गवाहों ने बयान किया कि यह फ़राइज़ को तर्क करता है तो क़ाज़ी उस शख़्स से फ़राइज़े इस्लाम दरयाफ़्त करेगा अगर न बता सका तो फ़ासिक़ है यानी वह फ़राइज़ जिन का सीखना उस पर फ़र्ज़ था और सीखा नहीं तो फ़ासिक़ होने के लिए यही बस है और अगर ऐसे मुसलमान को फ़ासिक़ कहा जो अलानिया फ़िस्क़ करता है मसलन नाजाइज़ नौकरी करता है या अलानिया सूद लेता है वग़ैरा वग़ैरा तो कहने वाले पर कुछ इल्ज़ाम नहीं (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– किसी मुसलमान को काफ़िर कहा तो तअ्ज़ीर है रहा यह कि क़ाइल ख़ुद काफ़िर होगा या नहीं उस में दो सूरतें हैं अगर उसे मुसलमान जानता है तो काफ़िर न हुआ और अगर उसे काफ़िर एअ्तिक़ाद करता है तो ख़ुद काफ़िर है कि मुसलमान को काफ़िर जानना दीने इस्लाम को कुफ़्र जानना है और दीने इस्लाम को कुफ़्र जानना कुफ़्र है हाँ अगर उस शख़्स में कोई ऐसी बात पाई जाती है जिस की बिना पर तकफ़ीर हो सके और उस ने उसे काफ़िर कहा और काफ़िर जाना तो काफ़िर न होगा (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)यह उस सूरत में है कि वह वजह जिस की बिना पर उस ने काफ़िर कहा ज़न्नी हो यानी तावील हो सके तो वह मुसलमान ही कहा जायेगा मगर जिस ने उसे काफ़िर कहा वह भी काफ़िर न हुआ और अगर उस में क़तई कुफ़्र पाया जाता है जो किसी तरह तावील की गुन्जाइश नहीं रखता तो वह मुसलमान ही नहीं और बेशक वह काफ़िर है और उस को काफ़िर कहना मुसलमान को काफ़िर कहना नहीं बल्कि काफ़िर को काफ़िर कहना है बल्कि ऐसे को मुसलमान जानना या उस के कुफ़्र में शक करना भी कुफ़्र है।

मसअला :– किसी शख़्स पर हाकिम के यहाँ दअ्वा किया कि उस ने चोरी की या उस ने कुफ़्र किया और सुबूत न दे सका तो मुस्तहक़्के तअ्ज़ीर(सज़ा के लाइक़) नहीं यानी जबकि उस का मक़सूद गाली देना तौहीन करना न हो (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– राफ़िज़ी,बदमज़हब, मुनाफ़िक़, ज़िन्दीक़, यहूदी, नसरानी नसरानी बच्चा, काफ़िर बच्चा कहने पर भी तअ्ज़ीर है (दुर्रे मुख़्तार बहर)यानी जब कि सुन्नी को राफ़ज़ी या बद मज़हब या बिदअती कहा और राफ़ज़ी को कहा तो कुछ नहीं कि उस को तो राफ़िज़ी कहेंगे ही यूँहीं सुन्नी को वहाबी या ख़ारिजी कहना भी मोजिबे तअ्ज़ीर है।

मसअला :– हरामी क़ा लफ़्ज़ भी बहुत सख़्त गाली है और हरामज़ादा के मअ्ना में है उस का भी हुक्म तअ्ज़ीर होना चाहिए किसी को बे ईमान कहा तो तअ्ज़ीर होगी अगर्चे उर्फ़े आम में यह लफ़्ज़ काफ़िर के मअ्ना में नहीं बल्कि ख़ाइन के मअ्ना में है और लफ़्ज़ ख़ाइन में तअ्ज़ीर है।

मसअला :– सुअर, कुत्ता, गधा, बकरा, बैल, बन्दर, उल्लू, कहने पर भी तअ्ज़ीर है जब कि ऐसे अल्फ़ाज़ उलमा व सादात या अच्छे लोगों की शान में इस्तिअ्माल किए(हिदाया वग़ैरा)यह चन्द अल्फ़ाज़ जिन के कहने पर तअ्ज़ीर होती है बयान कर दिए बाक़ी हिन्दुस्तान में ख़ुसूसन अवाम में आज कल बकसरत निहायत करीह व फ़हश(बुरे गन्दे)अल्फ़ाज़ गाली में बोले जाते या बाज़ बेबाक मज़ाक़ और दिल लगी में कहा करते हैं ऐसे अल्फ़ाज़ बिल क़स्द नहीं लिखे और उन का हुक्म ज़ाहिर है कि इज़्ज़त दार को कहे जिस की उन अल्फ़ाज़ से हतके हुरमत, (इज़्ज़त में कमी) होती

है तो तअ्ज़ीर है या उन अल्फ़ाज़ से हर शख़्स की बे आबरूई है जब भी तअ्ज़ीर है।

मसअ्ला :– जिस को गाली दी या और कोई ऐसा लफ़्ज़ कहा जिस में तअ्ज़ीर है उस ने मुआफ़ कर दिया तो तअ्ज़ीर साकित हो जायेगी और उस की शान में चन्द अल्फ़ाज़ कहे तो हर एक पर तअ्ज़ीर है यह न होगा कि एक तअ्ज़ीर सब के क़ाइम मक़ाम हो यूँहीं अगर चन्द शख़्सों की निस्बत कहा मसलन तुम सब फ़ासिक़ हो तो हर एक शख़्स की तरफ़ से अलग अलग तअ्ज़ीर होगी (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जिस को गाली दी अगर वह सुबूत न पेश कर सका तो गाली देने वाले से हल्फ़ लेंगे अगर क़सम खाने से इन्कार करे तो तअ्ज़ीर होगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जहाँ तअ्ज़ीर में किसी बन्दे का हक़ मुतअल्लिक़ न हो मसलन एक शख़्स फ़ासिक़ों के मजमअ् में बैठता है या उस ने किसी औरत का बोसा लिया और किसी देखने वाले ने क़ाज़ी के पास उसकी इत्तिलाअ् की तो यह शख़्स अगर्चे बज़ाहिर मुद्दई की सूरत में है मगर गवाह बन सकता है लिहाज़ा अगर उस के साथ एक और शख़्स शहादत दे तो तअ्ज़ीर का हुक्म होगा(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– शौहर अपनी औरत को इन उमूर पर मार सकता है औरत 1.अगर बावुजूद कुदरत बनाव सिंगार न करे यानी जो ज़ीनत शरअ़न जाइज़ है उस के न करने पर मार सकता है और अगर शौहर मर्दाना लिबास पहनने को या गोदना गोदाने को कहता है और नहीं करती तो मारने का हक़ नहीं यूँहीं अगर औरत बीमार है या एहराम बाँधे हुए है या जिस क़िस्म की ज़ीनत को कहता है वह उस के पास नहीं है तो नहीं मार सकता 2.गुस्ले जनाबत नहीं करती 3.बग़ैर इजाज़त घर से चली गई जिस मौक़े पर उसे इजाज़त लेने की ज़रूरत थी 4.अपने पास बुलाया और नहीं आई जब कि हैज़ व निफ़ास से पाक थी और फ़र्ज़ रोज़ा भी रखे हुए न थी 5.छोटे ना समझ बच्चे के मारने पर 6.शौहर को गाली दी गधा वग़ैरा कहा या 7.उस के कपड़े फाड़ दिए 8.ग़ैर महरम के सामने चेहरा खोल दिया अजनबी मर्द से कलाम किया शौहर से बात की या झगड़ा किया उस ग़र्ज़ से कि 9.अजनबी शख़्स उस की आवाज़ सुने या 10.शौहर की कोई चीज़ बग़ैर इजाज़त किसी को दे दी और वह ऐसी चीज़ हो कि आदतन बग़ैर इजाज़त औरतें ऐसी चीज़ न दिया करती हों और अगर ऐसी चीज़ दी जिस के देने पर आदत जारी है तो नहीं मार सकता (बहर)

मसअ्ला :– औरत अगर नमाज़ नहीं पढ़ती है तो अकसर फ़ुक़्हा के नज़्दीक शौहर का मारने को इख़्तियार है और माँ बाप अगर नमाज़ न पढ़ें या और कोई मअ्सियत करें तो औलाद को चाहिए कि उन्हें समझाये अगर मान लें फ़बिहा वरना सुकूत करे और उन के लिए दुआ व इस्तिग़फ़ार करे और किसी की माँ अगर कहीं शादी वग़ैरा में जाना चाहती है तो औलाद को मनअ् करने का हक़ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– छोटे बच्चे को भी तअ्ज़ीर कर सकते हैं और उस को सज़ा उस का बाप या दादा या उन का वसी या मुअ़ल्लिम देगा और माँ को भी सज़ा देने का इख़्तियार है कुर्आन पढ़ने और अदब हासिल करने और इल्म सीखने के लिए बच्चे को उस के बाप माँ मजबूर कर सकते हैं यतीम बच्चा जो उस की परवरिश में है उसे भी उन बातों पर मार सकता है जिन पर अपने लड़कों को मारता (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औरत को इतना नहीं मार सकता कि हड्डी टूट जाये या खाल फट जाये या नीला दाग़

पड़ जाये और अगर इतना मारा और औरत ने दअ्वा कर दिया और गवाहों से साबित कर दिया तो शौहर पर उस मारने की तअ्ज़ीर है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– औरत ने उस ग़र्ज़ से कुफ्र किया कि शौहर से जुदाई हो जाये तो उसे सज़ा दी जाये और इस्लाम लाने और उसी शौहर से निकाह करने पर मजबूर की जाये दूसरे से निकाह नहीं कर सकती (दुर्रे मुख़्तार)

चोरी की हद का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝ فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَ اَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

तर्जमा :– "चुराने वाला मर्द और चुराने वाली औरत उन दोनों के हाथ काट दो यह सज़ा है उन के फेअ्ल की अल्लाह की तरफ़ से सरज़निश है और अल्लाह ग़ालिब हिकमत वाला है और अगर ज़ुल्म के बाद तौबा करें और अपनी हालत दुरूस्त करलें तो बेशक अल्लाह उन की तौबा क़बूल करेगा बेशक अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है"।

हदीस न.1 :– इमाम बुख़ारी व मुस्लिम अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया चोर पर अल्लाह की लअ़्नत बैज़ा (ख़ुद) चुराता है जिस पर उस का हाथ काटा जाता है और रस्सी चुराता है उस पर हाथ काटा जाता है।

हदीस न.2 :– अबूदाऊद व तिर्मिज़ी व नसाई व इब्ने माजा फ़ुज़ाला इब्ने उ़बैद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के पास एक चोर लाया गया उस का हाथ काटा गया फिर हुज़ूर ने हुक्म फ़रमाया वह कटा हुआ हाथ उस की गर्दन में लटका दिया जाये।

हदीस न.3 :– इब्ने माजा सफ़वान बिन उमय्या से और दारमी इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि सफ़वान बिन उमय्या मदीना में आये और अपनी चादर का तकिया लगाकर मस्जिद में सो गये चोर आया और उन की चादर ले भागा उन्होंने उसे पकड़ा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर लाये हुज़ूर ने हाथ काटने का हुक्म फ़रमाया सफ़वान ने अ़र्ज़ की मेरा यह मतलब न था यह चादर उस पर सदक़ा है इरशाद फ़रमाया मेरे पास हाज़िर करने से पहले तुम ने ऐसा क्यों न किया।

हदीस न .4 :– इमाम मालिक ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि एक शख़्स अपने ग़ुलाम को हज़रत उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु की ख़िदमत में हाज़िर लाया और कहा उस का हाथ काटिए कि उस ने मेरी बीवी का आईना चुराया है अमीरुलमोमिनीन ने फ़रमाया उस का हाथ नहीं काटा जायेगा कि यह तुम्हारा ख़ादिम है जिस ने तुम्हारा माल लिया है

हदीस न.5 :– तिर्मिज़ी व नसाई व इब्ने माजा दारमी जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ख़ाइन और लूटने वाले और उचक लेजाने वाले के हाथ नहीं काटे जायेंगे।

हदीस न.6 :– इमाम मालिक व तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व नसाई व इब्ने माजा व दारमी राफ़ेअ् इब्ने ख़दीज रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया फल और गाभे के चुराने में हाथ काटना नहीं यानी जब कि पेड़ में लगे हों और कोई चुराये।

हदीस न.7 :– इमाम मालिक ने रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया दरख़्तों पर जो फल लगे हों उन में क़तअ् नहीं और न उन बकरियों के चुराने में जो पहाड़ पर हों हाँ जब मकान में आ जायें और फल ख़िरमन में जमअ् कर लिए जायें और सिपर की क़ीमत को पहुँचे तो क़तअ् है।

हदीस न.8 :– अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर व दीगर सहाबा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम से मरवी कि हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने सिपर की क़ीमत में हाथ काटने का हुक्म दिया सिपर की क़ीमत में रिवायत बहुत मुख़्तलिफ़ हैं बाज़ में तीन दिरहम बाज़ में रुबअ् दीनार(चौथाई दीनार) बाज़ में दस दिरहम, हमारे इमाम आज़म रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने एहतियातन दस दिरहम वाली रिवायत पर अ़मल फ़रमाया।

अहकामे फ़िक़्हिया

चोरी यह है कि दूसरे का माल छुपा कर नाहक़ ले लिया जाये और उस की सज़ा हाथ काटना है मगर हाथ काटने के लिए चन्द शर्तें हैं 1.चुराने आने वाला मुकल्लफ़ हो यानी बच्चा या मजनून न हो अब ख़्वाह वह मर्द हो या औ़रत आज़ाद हो या ग़ुलाम मुसलमान हो या काफ़िर और अगर चोरी करते वक़्त मजनून न था फिर मजनून हो गया तो हाथ न काटा जाये गूँगा न हो 3.अँखियारा हो और अगर गूँगा है तो हाथ काटना नहीं कि हो सकता है अपना माल समझ कर लिया हो यूँहीं अंधे का हाथ न काटा जाये कि शायद उस ने अपना माल जान कर लिया 4.दस दिरहम चुराये या उस क़ीमत का सोना या और कोई चीज़ चुराये उस से कम में हाथ नहीं काटा जायेगा और 5.दस दिरहम की क़ीमत चुराने के वक़्त भी हो और हाथ काटने के वक़्त भी 6.और इतनी क़ीमत उस जगह हो जहाँ हाथ काटा जायेगा लिहाज़ा अगर चुराने के वक़्त वह चीज़ दस दिरहम क़ीमत की थी मगर हाथ काटने के वक़्त उस से कम की हो गई या जहाँ चुराया है वहाँ तो अब भी दस दिरहम क़ीमत की है मगर जहाँ हाथ काटा जायेगा वहाँ कम की है तो हाथ न काटा जाये हाँ अगर किसी ऐ़ब की वजह से क़ीमत कम हो गई या उस में से कुछ जाइअ् (ख़त्म)हो गई कि दस दिरहम की न रही तो दोनों सूरतों में हाथ काटे जायेंगे और चुराने में ख़ुद उस शय का चुराना मक़सूद हो लिहाज़ा अगर अचकन वग़ैरा कोई कपड़ा चुराया और कपड़े की क़ीमत दस दिरहम से कम है मगर उस में दीनार निकला तो जिस को बिलक़स्द चुराया वह दस दिरहम का नहीं लिहाज़ा हाथ नहीं काटा जायेगा हाँ अगर वह कपड़ा उन दिरहमों के लिए ज़रफ़ हो तो क़तअ् है मक़सूद कपड़ा चुराना नहीं बल्कि उस शय का चुराना है या कपड़ा चुराया और जानता था कि उस में रुपये भी हैं तो दोनों को क़स्दन चुराना क़रार दिया जायेगा अगर्चे कहता हो कि मेरा मक़सूद सिर्फ़ कपड़ा चुराना था यूहीं अगर रुपये की थैली चुराई तो अगर्चे कहे मुझे मालूम न था कि उस में रुपये हैं और न मैंने रुपये के क़स्द से चुराई बल्कि मेरा मक़सूद सिर्फ़ थैली का चुराना था तो हाथ काटा

जायेगा और उस के क़ौल का एअ्तिबार न किया जायेगा 8.उस माल को इस तरह ले गया हो कि उस का निकालना ज़ाहिर हो लिहाज़ा अगर मकान के अन्दर जहाँ से लिया वहाँ अशरफ़ी निगल ली तो क़तअ् नहीं बल्कि तावान लाज़िम है 9.ख़ुफ़यतन लिया हो यानी अगर दिन में चोरी की तो मकान में जाना और वहाँ से माल लेना दोनों छुप कर हों और अगर गया छुप कर मगर माल का लेना अलानिया हो जैसा डाकू करते हैं तो उस में हाथ काटना नहीं मग़रिब व इशा के दरमियान का वक़्त दिन के हुक्म में है अगर रात में चोरी की और जाना ख़ुफ़यतन हो अगर्चे माल लेना अलानिया या लड़ झगड़ कर हो हाथ काटा जाये 10.जिस के यहाँ से चोरी की उस का क़ब्ज़ा सहीह हो ख़्वाह वह माल का मालिक हो या अमीन और अगर चोर के यहाँ से चुरा लिया तो क़तअ् नहीं यानी जब कि पहले चोर का हाथ काटा जा चुका हो वरना उस का काटा जाये 11.ऐसी चीज़ चुराई हो जो जल्द ख़राब हो जाती है जैसे गोश्त और 12.तरकारीयाँ वह चोरी दारुलहर्ब में न हो 13.माल महफ़ूज़ हो और हिफ़ाज़त की दो सूरतें हैं एक यह कि वह माल ऐसी जगह हो जो हिफ़ाज़त के लिए बनाई गई हो जैसे मकान दुकान, ख़ीमा, ख़ज़ाना सन्दूक़, दूसरी यह कि वह जगह ऐसी नहीं मगर वहाँ कोई निगेहबान मुक़र्रर हो जैसे मस्जिद, रास्ता, मैदान, 14.बक़द्र दस दिरहम के एक बार मकान से बाहर ले गया हो और अगर चन्द बार ले गया कि सब का मजमुआ़ दस दिरम या ज़्यादा है मगर हर बार दस से कम कम ले गया तो क़तअ् नहीं कि यह एक सरक़ा(चोरी)नहीं बल्कि चन्द हैं अब अगर दस दिरम एक बार ले गया और वह सब एक ही शख़्स के हों या कई शख़्सों के मसलन एक मकान में चन्द शख़्स रहते हैं और कुछ कुछ हर एक का चुराया या जिन का मजमूआ़ (टोटल)दस दिरम या ज़्यादा है अगर्चे हर एक का उस से कम है दोनों सूरतों में क़तअ् है 15.शुबह या तावील की गुन्जाइश न हो लिहाज़ा अगर बाप का माल चुराया क़ुर्आन मजीद की चोरी की, तो क़तअ् नहीं कि पहले में शुबह है और दूसरी में यह तावील है कि पढ़ने के लिए लिया है(दुर्रे मुख़्तार, बहर, आलमगीरी ,वग़ैरहा.)

मसअ्ला :– चन्द शख़्सों ने मिलकर चोरी की अगर हर एक को बक़द्र दस दिरम के हिस्सा मिला तो सब के हाथ काटे जायें ख़्वाह सब ने माल लिया हो या बाज़ों ने लिया और बाज़ निगेहबानी करते रहे। (आलमगीरी, बहर)

मसअ्ला :– चोरी के सुबूत के दो तरीक़े हैं एक यह कि चोर ख़ुद इक़रार करे और उस में चन्द बार की हाजत नहीं सिर्फ़ एक बार काफ़ी है दूसरा यह कि दो मर्द गवाही दें और अगर एक मर्द और दो औ़रतों ने गवाही दी तो क़तअ् नहीं मगर माल का तावान दिलाया जाये और गवाहों ने यह गवाही दी कि हमारे सामने इक़रार किया है तो यह गवाही क़ाबिले एअ्तिबार नहीं गवाह का आज़ाद होना शर्त नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़ाज़ी गवाहों से चन्द बातों का सवाल करे किस तरह चोरी की और कहाँ की और कितने की की और किस की चीज़ चुराई जब गवाह इन उमूर का जवाब दें और हाथ काटने के तमाम शराइत पाये जायें तो क़तअ् का हुक्म है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– पहले इक़रार किया फिर इक़रार से फिर गया या चन्द शख़्सों ने चोरी का इक़रार

किया था उन में से एक अपने इक़रार से फिर गया या गवाहों ने उसकी शहादत दी कि हमारे सामने इक़रार किया है और चोर इन्कार करता है कहता है मैंने इक़रार नहीं किया है या कुछ जवाब नहीं देता तो इन सब सूरतों में क़तअ् नहीं मगर इक़रार से रुजूअ् की तो तावान लाज़िम है(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— इक़रार कर के भाग गया तो क़तअ् नहीं कि भागना बमन्ज़िला रुजूअ् के है हाँ तावान लाज़िम है और गवाहों से साबित हो तो क़तअ् है अगर्चे भाग जाये अगर्चे हुक्म सुनाने से पहले भागा हो अल्बत्ता बहुत दिनों में गिरफ़्तार हुआ तो तमादी आरिज़ (दअ्वा दाइर करने का वक़्त निकल गया) हो गई मगर तावान लाज़िम है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— मुद्दई गवाह न पेश कर सका चोर पर हल्फ़ रखा उस ने हल्फ़ लेने से इन्कार किया तो तावान दिया जाये मगर क़तअ् नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— चोर को मारपीट कर इक़रार कराना जाइज़ है कि यह सूरत न हो तो गवाहों से चोरी का सुबूत बहुत मुश्किल है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— हाथ काटने का क़ाज़ी ने हुक्म देदिया अब वह मुद्दई कहता है कि यह माल उसी का है या मैंने उस के पास अमानत रखा था या कहता है कि गवाहों ने झूटी गवाही दी या उस ने ग़लत इक़रार किया तो अब हाथ नहीं काटा जा सकता (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— गवाहों के बयान में इख़्तिलाफ़ हुआ एक कहता कि फ़ुलाँ क़िस्म का कपड़ा था दूसरा कहता है फ़ुलाँ क़िस्म का था तो क़तअ् नहीं (बहर)इक़रार व शहादत के जुज़ईयात कसीर(बहुत)हैं चुँकि यहाँ हुदूद जारी नहीं है लिहाज़ा बयान करने की ज़रूरत नहीं।

मसअ्ला :— हाथ काटने के वक़्त मुद्दई और गवाहों का हाज़िर होना ज़रूर नहीं बल्कि अगर ग़ाइब हों या मरगये हों जब भी हाथ काट दिया जायेगा। (दुर्रे मुख़्तार)

किन चीज़ों में हाथ काटा जायेगा और किस में नहीं

मसअ्ला :— साखो, आब्नूस, अगर की लकड़ी, सन्दल, नेज़ा, मुश्क, ज़अ्फ़रान अमबर और हर क़िस्म के तेल ज़मर्रद, याक़ूत, जबरजद, मोती, और हर क़िस्म के जवाहिर लकड़ी की हर क़िस्म की क़ीमती चीजें जैसे कुर्सी, मेज़, तख़्त, दरवाज़ा, जो अभी नसब न किया गया हो लकड़ी के बर्तन यूँहीं ताँबे, पीतल, लोहे चमड़े, वग़ैरा के बर्तन छुरी, चाकू, कैंची, और हर क़िस्म के ग़ल्ले गेहूँ, जौ, चावल, और सत्तू, आटा, शकर, घी, सिरका,शहद, खजूर, छुआरे, मुनक्के, रुई, ऊन, कतान,पहनने के कपड़े बिछौना, और हर क़िस्म के उमदा और नफ़ीस माल में हाथ काटा जायेगा।

मसअ्ला :— हक़ीर चीज़ें जो आदतन महफ़ूज़ न रखी जाती हों और बाएअ्तिबार अस्ल के मुबाह हों और अभी उन में कोई ऐसी सनअत(कारीगरी)भी न हुई हो जिस की वजह से क़ीमती हो जायें उन में हाथ नहीं काटा जायेगा जैसे मामूली लकड़ी, घास, निरकल,मछली, परिन्द,गेरू, चूना, कोइले, नमक, मिट्टी के बरतन, पक्की ईंटें, यूँहीं शीशा, अगर्चे क़ीमती हो कि जल्द टूट जाता है और टूटने पर क़ीमती नहीं रहता यूँहीं वह चीज़ें जो जल्द ख़राब हो जाती हैं जैसे दूध, गोश्त, तरबूज़, ख़रबुज़ा ककड़ी, खीरा, साग, तरकारियाँ, और तैयार खाने जैसे रोटी, बल्कि क़हत के ज़माना में ग़ल्ला गेहूँ चावल जौ वग़ैरा भी और तर मेवे जैसे अंगूर सेब नाशपाती बिही, अनार, **और ख़ुश्क** मेवे में हाथ

काटा जायेगा जैसे अख़रोट बादाम जब कि महफ़ूज़ हों अगर दरख़्त पर से फल तोड़े या खेत काट लेगया तो कतअ् नहीं अगर्चे दरख़्त मकान के अन्दर हो या खेत की हिफ़ाज़त होती हो और फल तोड़कर या खेत काट कर हिफ़ाज़त में रखा अब चुरायेगा तो कतअ् है(हाथ काटना)

मसअ्ला :– शराब चुराई तो कतअ् नहीं हाँ अगर शराब क़ीमती बर्तन में थी कि उस बर्तन की क़ीमत दस दिरम है और सिर्फ़ शराब नहीं बल्कि बर्तन चुराना भी मक़सूद था मसलन बज़ाहिर देखने से यह मालूम होता है कि यह बर्तन बेश क़ीमत है तो कतअ् है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– लहव व लअ़िब (खेल तमाशे)की चीज़ें जैसे ढोल तबला सारंगी वग़ैरा हर क़िस्म के बाजे अगर्चे तबले जंग चुराया हाथ नहीं काटा जायेगा यूँहीं सोने चाँदी की सलीब (फाँसी का निशान ईसाईयों की अक़ीदत की अ़लामत) या बुत और शतरंज नर्द चुराने में कतअ् (हाथ काटना)नहीं और रुपये अशरफ़ी पर तसवीर हो जैसे आज कल हिन्दुस्तान के रुपये अशरफ़ियाँ तो कतअ् है(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– घास और निरकल की बेश क़ीमत चटाईयाँ कि सन्अ़त (बनावट)की वजह से बेश क़ीमत हो गईं जैसे आज कल बम्बई, कलकत्ता से आया करती हैं उन में कतअ् है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मकान का बैरुनी दरवाज़ा और मस्जिद का दरवाज़ा बल्कि मस्जिद के दीगर असबाब झाड़ फ़ानूस, हान्डियाँ, कुम्कुमे, घड़ी, जा नमाज़ वग़ैरा और नमाज़ियों के जूते चुराने में कतअ् नहीं मगर जो इस क़िस्म की चोरी करता हो उसे पूरी सज़ा दी जाये और क़ैद करें यहाँ तक कि सच्ची तौबा कर ले बल्कि हर ऐसे चोर को जिस में किसी शुबह की बिना पर कतअ् न हो तअ्ज़ीर की जाये (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– हाथी दाँत या उस की बनी हुई चीज़ चुराने में कतअ् नहीं अगर्चे सनअ़त की वजह से बेश क़ीमत क़रार पाती हो और ऊँट की हड्डी की बेश क़ीमत चीज़ बनी हो तो कतअ् है(आलमगीरी)

मसअ्ला :– शेर, चीता, वग़ैरा, दरिन्दा को ज़िबह कर के उन की खाल को बिछौना या जानमाज़ बना लिया है तो कतअ् है वरना नहीं और बाज़ शिकरा, कुत्ता, चीता, वग़ैरा जानवरों को चुराया तो कतअ् नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुसहफ़ शरीफ़ चुराया तो कतअ् नहीं अगर्चे सोने चाँदी का उन पर काम हो यूँही तफ़सीर व हदीस व फ़िक़्ह व नहव व लुग़त व अशआ़र की किताबों में भी कतअ् नही (आलमगीरी)

मसअ्ला :– हिसाब की बेहयाँ (हिसाब के खाते)अगर बेकार हो चुकी हैं और वह काग़ज़ात दस दिरम की क़ीमत के हैं तो कतअ् है वरना नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– आज़ाद बच्चे को चुराया अगर्चे ज़ेवर पहने हुए है हाथ नहीं काटा जायेगा यूँहीं अगर बड़े गुलाम को जो अपने को बता सकता है चुराया तो कतअ् नहीं अगर्चे सोने या बेहोशी या जुनून की हालत में उसे चुराया हो और अगर ना मसझ गुलाम को चुराया तो कतअ् है (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– एक शख़्श के दूसरे पर दस दिरम आते थे कर्ज़ख़्वाह ने कर्ज़दार के यहाँ से रुपये या अशरफ़ियाँ चुरा लीं तो कतअ् नहीं और अगर असबाब चुराया और कहता है कि मैंने अपने रुपये के मुआविज़ा में लिया या बतौर रहन अपने पास रखने के लिए लाया तो कतअ् नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अमानत में ख़ियानत की या माल लूट लिया या उचक लिया तो कतअ् नहीं यूँहीं कब्र से कफ़न चुराने में कतअ् नहीं अगर्चे कब्र मुकफ़्फ़ल मकान में हो बल्कि जिस मकान में कब्र है उस

मे से अगर अलावा कफ़न के कोई और कपड़ा वग़ैरा चुराया जब भी कतअ् नहीं बल्कि जिस घर में मय्यत हो वहाँ से कोई चीज चुराई तो कतअ् नहीं हाँ अगर उस फेअ्ल का आदी हो तो बतौर सियासत हाथ काट देंगे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला – जी रहम महरम के यहाँ से चुराया तो कतअ् नहीं अगर्चे वह माल किसी और का हो और जी रहम महरम का माल दूसरे के यहाँ था वहाँ से चुराया तो कतअ् है शौहर ने औरत के यहाँ से या औरत ने शौहर के यहाँ से या ग़ुलाम ने अपने मौला या मौला की जौजा के यहाँ से या औरत के ग़ुलाम ने उस के शौहर के यहाँ चोरी की तो कतअ् नहीं यूँहीं ताजिरों की दुकानों से चुराने में भी नहीं है जब कि ऐसे वक़्त चोरी की कि उस वक़्त लोगों को वहाँ जाने की इजाजत है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मकान जब महफ़ूज़ है तो अब उस की जरूरत नहीं कि वहाँ कोई मुहाफ़िज मुकर्रर हो और मकान महफ़ूज़ न हो तो मुहाफ़िज के बग़ैर हिफ़ाजत नहीं मसलन मस्जिद से किसी की कोई चीज़ चुराई तो कतअ् नहीं मगर जब कि उस का मालिक वहाँ मौजूद हो अगर्चे सो रहा हो यानी मालिक ऐसी जगह हो कि माल को वहाँ से देख सके यूँहीं मैदान या रास्ता में अगर माल है और मुहाफ़िज़ वहाँ पास में है तो कतअ् है वरना नहीं (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला :– जो जगह एक शय की हिफ़ाज़त के लिए है वह दूसरी चीज़ की हिफ़ाजत के लिए भी करार पायेगी मसलन अस्तबल से अगर रुपये चोरी गये तो कतअ् है अगर्चे अस्तबल रुपये की हिफ़ाज़त की जगह नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर चन्द बार किसी ने चोरी की तो बादशाहे इस्लाम उसे सियासतन कत्ल कर सकता है (दुर्रे मुख़्तार)

हाथ काटने का बयान

मसअ्ला :– चोर का दहिना हाथ गट्टे से काट कर खौलते तेल में दाग़ देंगे और अगर मौसम सख़्त गर्मी या सख़्त सर्दी का हो तो अभी न काटें बल्कि उसे कैद में रखें गर्मी या सर्दी की शिद्दत जाने पर काटें तेल की कीमत और काटने वाले और दाग़ने वाले की उजरत और तेल खौलाने के मसारिफ़ सब चोर के ज़िम्मे हैं और उस के बाद अगर फिर चोरी करे तो अब बायाँ पाँव गट्टे से काट देंगे उस के बाद फिर अगर चोरी करे तो अब नहीं काटेंगे बल्कि बतौर तअ्ज़ीर मारेंगे और कैद में रखेंगे यहाँ तक कि तौबा कर ले यानी उस के बशरा से यह ज़ाहिर होने लगे कि सच्चे दिल से तौबा की और नेकी के आसार नुमायाँ हों (दुर्रे मुख़्तार, वग़ैरा)

मसअ्ला :– अगर दहिना हाथ उस का शिल हो गया है या उन में का अँगूठा या उंगलियाँ कटी हों जब भी काट देंगे और अगर बायाँ हाथ शिल हो या उस का अँगूठा या दो अँगुलियाँ कटी हों तो अब दहना नहीं काटेंगे यूँहीं अगर दहिना पाँव बेकार हो या कटा हो तो बायाँ पाँव नहीं काटेंगे बल्कि कैद करेंगे (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला : – हाथ काटने की शर्त यह है कि जिस का माल चोरी हो गया है वह अपने माल का मुतालबा करे ख़्वाह गवाहों से चोरी का सुबूत हो या चोर ने ख़ुद इकरार किया हो और यह भी शर्त है कि जब गवाह गवाही दें उस वक़्त वह हाज़िर हो और जिस वक़्त हाथ काटा जाये उस वक़्त भी

मौजूद हों लिहाज़ा अगर चोरी का इक़रार करता है और कहता है कि मैंने फुलाँ शख़्स जो ग़ाइब है उस की चोरी की है या कहता है कि यह रुपये मैंने चुराये हैं मगर मालूम नहीं किस के हैं या मैं यह नहीं बताऊँगा कि किस के हैं तो क़तअ़ नहीं और पहली सूरत में जब कि ग़ाइब हाज़िर होकर मुतालबा करे तो उस वक़्त क़तअ़ करेंगे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जिस शख़्स का माल पर क़ब्ज़ा है वह मुतालबा कर सकता है जैसे अमीन व ग़ासिब व मुरतहिन व मुतवल्ली और बाप और वसी (वसियत करने वाला)और सूद ख़ोर ने सूदी माल क़ब्ज़ा कर लिया है और सूद देने वाला जिस ने सूद के रुपये अदा कर दिये और यह रुपये चोरी गये तो उस के मुतालबा पर क़तअ़ नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला : – वह चीज़ जिस के चुराने पर हाथ काटा गया है अगर चोर के पास मौजूद है तो मालिक को वापस दिलायेंगे और जाती रही तो तावान नहीं अगर्चे उस ने ख़ुद ज़ाइअ़ कर दी हो और अगर बेचडाली या हिबा कर दी और ख़रीदार या मौहूब लहू (जिस को हिबा की गई) ने ज़ाइअ़ कर दी तो यह तावान दें और ख़रीदार चोर से समन(क़ीमत)वापस ले और अगर हाथ काटा न गया हो तो चोर से ज़िमान लेगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला : – कपड़ा चुराया और फाड़ कर दो टुकड़े कर दिये अगर उन टूकड़ों की क़ीमत दस दिरम है तो क़तअ़ है और अगर टुकड़े करने की वजह से क़ीमत घट कर आधी हो गई तो पूरी क़ीमत का ज़िमान लाज़िम है और क़तअ़ नहीं।

राहज़नी का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ط ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ 0 اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ج فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ 0

तर्जमा :– "जो लोग अल्लाह व रसूल से लड़ते हें और ज़मीन में फ़साद करने की कोशिश करते हैं उन की सज़ा यही है कि क़त्ल कर डाले जायें या उन्हें सूली दी जाये या उन के हाथ पाँव मुक़ाबिल के काट दिए जायें या जिलावतन कर दिए जायें यह उन के लिए दुनिया में रुसवाई है और आख़िरत में उन के लिए बड़ा अज़ाब है मगर वह तुम्हारे क़ाबू पाने से क़ब्ल तौबा करलें तो जान लो कि अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है"

अबूदाऊद उम्मुलमोमिनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया जो मर्द मुसलमान इस अम्र की शहादत दे कि अल्लाह एक है और मुहम्मद सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं उस का ख़ून हलाल नहीं मगर तीन वजह से मुहसन होकर ज़िना करे तो वह रज्म किया जायेगा अगर जो शख़्स अल्लाह व रसूल(यानी मुसलमानों)से लड़ने को निकला तो वह क़त्ल किया जायेगा या उसे सूली दी जायेगी या जिलावतन कर दिया जायेगा और जो शख़्स किसी को क़त्ल करेगा तो उन के बदले में क़त्ल किया जायेगा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के ज़माना

में क़बीला–ए–उकुल व उरैना के कुछ लोगों ने ऐसा ही किया था हुज़ूर ने उन के हाथ पाँव कटवा कर संगिस्तान में डलवादिया वहीं तड़प तड़प कर मरगये।

मसअला :– राहज़नी जिस के लिए शरीअत की जानिब से सज़ा मुक़र्रर है उस में चन्द शर्तें हैं (1)उन में इतनी ताक़त हो कि राह गीर उन का मुक़ाबिला न करसकें अब चाहे हथियार के साथ डाका डाला या लाठी ले कर या पत्थर वग़ैरा से (2)बैरूने शहर राहज़नी की हो या शहर में रात के वक़्त हथियार से डाका डाला (3) वलदुलइस्लाम में हो (4) चोरी के सब शराइत पायेजायें (5) तौबा करने और माल वापस करने से पहले बादशाहे इस्लाम ने उस को गिरफ़्तार कर लिया हो (आलमगीरी)

मसअला : – डाका पड़ा मगर जान व माल तल्फ़ न हुआ और डाकू गिरफ़तार हो गया तो तअज़ीरन उसे ज़द व कोब करने के बाद क़ैद करें यहाँ तक कि तौबा कर ले और उस की हालत क़ाबिले इत्मिनान हो जाये अब छोड़दें और फ़क़त ज़बानी तौबा काफ़ी नहीं जब तक हालत दुरुस्त न हो न छोड़ें और अगर हालत दुरुस्त न हो तो क़ैद में रखें यहाँ तक कि मरजाये और अगर माल ले लिया हो तो उन का दाहिना हाथ और बायाँ पैर काटें। यूँहीं अगर चन्द शख़्स हों और माल इतना है कि हर एक के हिस्से में दस दिरहम या उस की क़ीमत की चीज़ आये तो सब के एक एक हाथ और एक एक पाँव काट दिये जायें और अगर डाकूओं ने मुसलमान या ज़िम्मी को क़त्ल किया और माल न लिया हो तो क़त्ल किए जायें और अगर माल भी लिया और क़त्ल भी किया हो तो बादशाहे इस्लाम को इख़्तियार है कि 1. हाथ पाँव काट कर क़त्ल कर डाले या 2. सूली देदे या 3. हाथ पाँव काट कर क़त्ल करे फिर उस की लाश को सूली पर चढ़ा दे 4. या सिर्फ़ क़त्ल कर दे 5. या क़त्ल कर के सूली पर चढ़ा दे या 6. फ़क़त सूली दे दे यह छः तरीक़े हैं जो चाहे करे और अगर सिर्फ़ सूली देना चाहे तो उसे ज़िन्दा सूली पर चढ़ा कर पेट में नेज़ा भोंक दें फिर जब मर जाये तो मरने के बाद तीन दिन तक उस का लाशा सूली पर रहने दें फिर छोड़ दें कि उस के वुरसा दफ़न कर दें और यह हम पहले बयान कर चुके हैं कि डाकू की नमाज़े जनाज़ा न पढ़ी जाये (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– डाकूओं के पास अगर वह माल मौजूद है तो बहर हाल वापस दिया जाये और नहीं है और हाथ पाँव काट दिए गये या क़त्ल कर दिए गये तो अब तावान नहीं यूँही जो उन्होंने राहगीरों को ज़ख़्मी किया या मार डाला है उसका भी कुछ मुआविज़ा नहीं दिलाया जायेगा।(दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– डाकूओं में से सिर्फ़ एक ने क़त्ल किया या माल लिया या डराया या सब कुछ किया तो उस सूरत में जो सज़ा होगी वह सिर्फ़ उसी एक की न होगी बल्कि सब को पूरी सज़ादी जाये (आलमगीरी)

मसअला :– डाकूओं ने क़त्ल न किया मगर माल लिया और ज़ख़्मी किया तो हाथ पाँव काटे जायें और ज़ख़्म का मुआविज़ा कुछ नहीं और अगर फ़क़त ज़ख़्मी किया मगर न माल लिया न क़त्ल किया या क़त्ल किया और मगर गिरफ़्तारी से पहले तौबा करली और माल वापस देदिया या उन में कोई ग़ैर मुकल्लफ़ या (गूँगा)हो या किसी राहगीर का क़रीबी रिश्ता दार हो तो उन सूरतों में हद नहीं और वली मक़तूल और क़त्ल न किया हो तो ख़ुद वह शख़्श जिसे ज़ख़्मी किया या जिस का माल लिया क़िसास या दियत या तावान ले सकता है या मुआफ़ कर दे(दुर्रे मुख़्तार)

किताबुस्सैर

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۙ۝ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا
اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ؕ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَ بِيَعٌ وَّ صَلَوٰتٌ وَّ مَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا
اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ؕ وَ لَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝

तर्जमा :– "उन लोगों को जिहाद की इजाज़त दी गई जिन से लोग लड़ते हैं इस वजह से कि उन पर जुल्म किया गया और बेशक अल्लाह उन की मदद करने पर क़ादिर है वह जिन को ना हक़ उन के घरों से निकाला गया महज इस वजह से कि कहते थे हमारा रब अल्लाह है और अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे से दफ़्अ़ न किया करता तो ख़ानकाहें और मदरसे और इबादत ख़ाने और मस्जिदें ढादी ज़ातीं जिन में अल्लाह के नाम की कसरत से याद होती है और ज़रूर अल्लाह उस की मदद करेगा जो उस के दीन की मदद करता है बेशक अल्ला क़वी(ताक़त वाला)ग़ालिब हैं"।

और फ़रमाता है

وَ قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَ لَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝ وَ اقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْ
هُمْ وَ اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَ الْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَ لَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى
يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ؕ كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ۝ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَ قٰتِلُوْهُمْ
حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ؕ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۝

तर्जमा :– "और अल्लाह की राह में उन से लड़ो जो तुम से लड़ते हैं और ज़्यादती न करो बेशक अल्लाह ज़्यादती करने वालों को दोस्त नहीं रखता और ऐसों को जहाँ पाओ मारो और जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला तुम भी निकाल दो और फ़ितना क़त्ल से ज़्यादा सख़्त है और उन से मस्जिदे हराम के पास न लड़ो जब तक वह तुम से वहाँ न लड़ें अगर वह तुम से लड़े तो उन्हें क़त्ल करो। काफ़िरों की यही सज़ा है और अगर वह बाज़ आजायें तो बेशक अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है और उन से लड़ो यहाँ तक कि फ़ितना न रहे और दीन अल्लाह के लिए हो जाये और अगर वह बाज़ आ जायें तो ज़्यादती नहीं मगर ज़ालिमों पर"।

हदीस न.1 :– सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं अल्लाह की राह में सुबह को जाना या शाम को जाना दुनिया व मा फ़ीहा से बेहतर है

हदीस न.2 :– सहीह मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम सब से बेहतर उस की ज़िन्दगी है जो अल्लाह की राह में अपने घोड़े की बाग पकड़े हुए है जब कोई ख़ौफ़नाक आवाज़ सुनता है या ख़ौफ़ में उसे कोई बुलाता है तो उड़ कर पहुँच जाता है (यानी निहायत जल्द)क़त्ल व मौत को उन की जगहों में तलाश करता है (यानी मरने की जगह से डरता नहीं है)या उस की ज़िन्दगी बेहतर है जो चन्द बकरियाँ लेकर पहाड़ की चोटी पर या किसी वादी में रहता है वहाँ नमाज़ पढ़ता है और ज़कात देता है और मरते दम तक अपने रब की इबादत करता है।

हदीस न.3 :– अबूदाऊद व नसाई व दारमी अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मुश्रिकीन से जिहाद करो अपने माल और जान और ज़बान से यानी दीने हक़ की इशाअत में हर क़िस्म की क़ुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ।

हदीस न.4 :– तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व फ़ुज़ाला इब्ने उ़बैद से और दारमी उक़्बा इब्ने आमिर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो मरता है उस के अ़मल पर मुहर लगादी जाती है यानी ख़त्म हो जाते हैं मगर वह जो सरहद पर घोड़ा बाँधे हुए है अगर मरजाये तो उसका अ़मल क़ियामत तक बढ़ाया जाता है और फ़ितना–ए–क़ब्र से महफ़ूज़ रहता है।

हदीस न.5 :– सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में सहल इब्ने सअ़द रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं अल्लाह की राह में एक दिन सरहद पर घोड़ा बाँधना दुनिया व मा फ़ीहा (जो दुनिया में है)से बेहतर है।

हदीस न.6व7 :– सहीह मुस्लिम शरीफ़ में सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं एक दिन और रात अल्लाह की राह में सरहद पर घोड़ा बाँधना एक महीने के रोज़े और क़ियाम से बेहतर है और मरजाये तो जो अमल करता था जारी रहेगा और उस का रिज़्क़ बराबर जारी रहेगा और फ़ितना–ए–क़ब्र से महफ़ूज़ रहेगा तिर्मिज़ी व नसाई की रिवायत उ़समान रदियल्लाहु तआला अन्हु से है कि हुज़ूर ने फ़रमाया एक दिन सरहद पर घोड़ा बाँधना दूसरी जगह के हज़ार दिनों से बेहतर है।

मसअ्ला : – मुसलमानों पर ज़रूर है कि काफ़िरों को दीने इस्लाम की तरफ़ बुलायें अगर दीने हक़ को क़बूल करलें ज़हे नसीब हदीस में फ़रमाया अगर तेरी वजह से अल्लाह तआला एक शख़्स को हिदायत फ़रमादे तो यह उस से बेहतर है जिस पर आफ़ताब ने तुलूअ़ किया यानी जहाँ से जहाँ तक आफ़ताब तलूअ़ करता है यह सब तुम्हें मिलजाये उस से बेहतर यह कि तुम्हारी वजह से किसी को हिदायत हो जाये और अगर काफ़िरों ने दीने हक़ को क़बूल न किया तो बादशाहे इस्लाम उन पर जुज़या मुक़र्रर कर दे कि वह अदा करते रहें और ऐसे काफ़िर को ज़िम्मी कहते हैं और जो उस से भी इन्कार करें तो जिहाद का हुक्म है (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला : – मुजाहिद सिर्फ़ वही नहीं जो क़िताल करे बल्कि वह भी है जो उस राह में अपना माल सर्फ़ करे या नेक मशवरे से शिरकत दे या ख़ुद शरीक हो कर मुसलमान की तअ़दाद बढ़ाये या ज़ख़्मों का इलाज करे या खाने, पीने का इन्तिज़ाम करे और उसी के तवाबेअ़ से रिबात है यानी बिलादे इस्लामिया (इस्लामीशहरों) की हिफ़ाज़त की ग़र्ज़ से सरहद पर घोड़ा बाँधना यानी वहाँ मुक़ीम रहना और उस का बहुत बड़ा सवाब है कि उस की नमाज़ पाँच सौ नमाज़ की बराबर है और उस का एक दिरहम ख़र्च करना सात सौ दिरम से बढ़कर है और मरजायेगा तो रोज़मर्रा रिबात का सवाब उस के नामाए अअ़्माल में दर्ज होगा और रिज़्क़ बदस्तूर मिलता रहेगा और फ़ितनाए क़ब्र से महफ़ूज़ रहेगा और क़ियामत के दिन शहीद उठाया जायेगा और फ़ज़अे अकबर(सब से बड़ी परेशानी)से मामून रहेगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जिहाद इबतिदअन फ़र्ज़े किफ़ाया है कि एक जमाअ़त ने कर लिया तो सब

बरीयुज़्ज़िम्मा हैं और सब ने छोड़ दिया है तो सब गुनाहगार हैं और अगर कुफ़्फ़ार किसी शहर पर हुजूम करें तो वहाँ वाले मुक़ाबिला करें और उन में इतनी ताक़त न हो तो वहाँ से क़रीब वाले मुसलमान इआनत करें और उन की ताक़त से भी बाहर हो तो जो उन से क़रीब हैं वह भी शरीक हो जायें व अ़ला हाज़ल कियास (इसी तरह समझ लें) (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– बच्चों और औरतों पर और ग़ुलाम पर फ़र्ज़ नहीं यूँहीं बालिग़ के माँ बाप इजाज़त न दें तो न जाये यूँहीं अन्धे और अपाहिज और लंगड़े और जिस के हाथ कटे हों उन पर फ़र्ज़ नहीं और मदयून (क़र्ज़दार)के पास माल हो तो दैन (क़र्ज़)अदा करे और जायें वरना बग़ैर क़र्ज़ख़्वाह बल्कि बग़ैर कफ़ील की इजाज़त के नहीं जा सकता और अगर दैन मीआ़दी हो और जानता है कि मीआ़द पूरी होने से पहले वापस आजायेगा तो जाना जाइज़ है और शहर में जो सब से बड़ा आ़लिम हो वह भी न जाये यूँहीं अगर उस के पास लोगों की अमानतें हैं और वह लोग मौजूद नहीं हैं तो किसी दूसरे शख़्स से कह दे कि जिन की अमानत है देदेना तो अब जा सकता है।(बहर, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर कुफ़्फ़ार हुजूम कर आयें तो उस वक़्त फ़र्ज़े अ़ैन है यहाँ तक कि औ़रत और ग़ुलाम पर भी फ़र्ज़ है और उस की कुछ ज़रूरत नहीं कि औ़रत अपने शौहर से ग़ुलाम अपने मौला से इजाज़त ले बल्कि इजाज़त न देने की सूरत में भी जायें और शौहर व मौला पर मनअ् करने का गुनाह हुआ यूँहीं माँ बाप से भी इजाज़त लेने की और मदयून (क़र्ज़दार) को दाइन (क़र्ज़ ख़्वाह)से इजाज़त की हाजत नहीं बल्कि मरीज़ भी जाये हाँ पुराना मरीज़ कि जाने पर क़ादिर न हो उसे मुआ़फ़ी है (बहर)

मसअ्ला :– जिहाद वाजिब होने के लिए शर्त यह है कि असलाह(हथियार)और लड़ने पर कुदरत हो और खाने पीने के सामान और सवारी का मालिक हो नीज़ उस का ग़ालिब गुमान हो कि मुसलमानों की शौकत बढ़ेगी और अगर उस की उम्मीद न हो तो जाइज़ नहीं कि अपने को हलाकत में डालना है (आ़लमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– बैतुलमाल में माल मौजूद हो तो लोगों पर सामाने जिहाद घोड़े और असलाह के लिए माल मुक़र्रर करना मकरूह तहरीमी है और बैतुलमाल में माल न हो तो हर्ज नहीं और अगर कोई शख़्स बतीबे ख़ातिर(अपनी मर्ज़ी से) कुछ देना चाहता है असलन मकरूह नहीं बल्कि बेहतर है ख़्वाह बैतुलमाल में हो या न हो और जिस के पास माल हो मगर ख़ुद न जा सकता हो तो माल देकर किसी और को भेजदे मगर ग़ाज़ी से यह न कहे कि माल ले और मेरी तरफ़ से जिहाद कर कि यह तो नौकरी और मज़दूरी हो गई और यूँ कहा तो ग़ाज़ी को लेना भी जाइज़ नहीं(दुर्रे मुख़्तार,रद्दुल मुहतार,आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– जिन लोगों को दअ्वते इस्लाम नहीं पहुँची है उन्हें पहले दअ्वते इस्लाम दी जाये बग़ैर दअ्वत उन से लड़ना जाइज़ नहीं और इस ज़माने में हर जगह दअ्वत पहुँच चुकी है ऐसी हालत में दअ्वत ज़रूरी नहीं मगर फिर भी अगर ज़रर का अन्देशा न हो तो दअ्वते हक़ कर देना मुस्तहब है(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– कुफ़्फ़ार से जब मुक़ाबला की नौबत आये तो उन के घरों को आग लगा देना और अमवाल और दरख़्तों और खेतों को जला देना और तबाह करदेना सब कुछ जाइज़ है यानी जब

यह मालूम हो कि ऐसा न करेंगे तो फ़त्ह करने में बहुत मशक़्क़त उठानी पड़ेगी और अगर फ़त्ह का
ग़ालिब गुमान हो तो अमवाल वग़ैरह तल्फ़(माल वग़ैरा बर्बाद न करें) न करें कि अन्क़रीब मुसलमानों
को मिलेंगे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– बन्दूक़ तोप और बम के गोले मारना सब कुछ जाइज है।

मसअ्ला :– अगर काफ़िरों ने चन्द मुसलमानों को अपने आगे कर लिया कि गोली वग़ैरा उन पर
पड़े हम उन के पीछे महफ़ूज़ रहेंगे जब भी हमें बाज़ रहना जाइज़ नहीं गोली चलायें और क़स्द
काफ़िरों के मारने का करें अगर कोई मुसलमानों की गोली से मरजाये जब भी कफ़्फ़ारा वग़ैरा लाज़िम
नहीं जब कि गोली चलाने वाले ने काफ़िर पर गोली चलाने का इरादा किया हो (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– किसी शहर को बादशाहे इस्लाम ने फ़त्ह किया और उस शहर में कोई मुसलमान या
ज़िम्मी है तो अहले शहर को क़त्ल करना जाइज़ नहीं हाँ अगर अहले शहर में से कोई निकल गया
तो अब बाक़ियों को क़त्ल करना जाइज़ है कि हो सकता है कि वह जाने वाला मुसलमान या
ज़िम्मी हो (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जो चीज़ें वाजिबुत्तअ्ज़ीम हैं उन को जिहाद में ले कर जाना जाइज़ नहीं जैसे क़ुर्आन
मजीद कुतुबे फ़िक़ह व हदीस शरीफ़ कि बेहुरमती का अन्देशा है यूँहीं औरतों को भी न लेजाना
चाहिए अगर्चे इलाज व ख़िदमत की ग़र्ज़ से हो हाँ अगर लश्कर बड़ा हो कि ख़ौफ़ न हो तो औरतों
को ले जाने में हर्ज नहीं और उस सूरत में बुढ़ियों और बाँदियों को ले जाना औला है और अगर
मुसलमान काफ़िरों के मुल्क में अमान ले कर गया है तो क़ुर्आन मजीद लेजाने में हर्ज नहीं(दुर्रे मुख़्तारबहर)

मसअ्ला :– अ़हद तोड़ना मसलन यह मुआहिदा किया कि इतने दिनों तक जंग न होगी फिर उसी
ज़माना–ए–अ़हद में जंग की यह नाजाइज़ है और अगर मुआहिदा न हो और बग़ैर इत्तिलाअ् किए
जंग शुरूअ् कर दी तो हर्ज नहीं (मजमउन्नहर)

मसअ्ला :– मुसला यानी नाक कान या हाथ पाँव काटना या मुँह काला करदेना मनअ् है यानी
फ़त्ह होने के बाद मुसला की इजाज़त नहीं और इसनाए जंग में अगर ऐसा हो मसलन तलवार मारी
और नाक कट गई या कान कट गये या आँख फोड़दी या हाथ पाँव काट दिये तो हर्ज नहीं (फ़त्ह)

मसअ्ला :– औरत और बच्चा और पागल और बहुत बूढ़े और अन्धे और लुन्जे और अपाहिज और
राहिब और पुजारी जो लोगों से मिलते जुलते न हों या जिस का दाहिना हाथ कटा हो या खुश्क
हो गया हो उन सब को क़त्ल करना मनअ् है यानी जब कि लड़ाई में किसी की मदद न देते हों
और अगर उनमें से कोई ख़ुद लड़ता हो या अपने माल या मशवरा से मदद पहुँचाता हो या
बादशाह हो तो उसे क़त्ल कर देंगे और अगर मजनून को कभी जुनून रहता है और कभी होश तो
उसे भी क़त्ल कर दें और बच्चा और मजनून को इसनाए जंग में क़त्ल करेंगे जब कि लड़ते हों
और बाक़ियों को क़ैद करने के बाद भी क़त्ल करदेंगे और जिन्हें क़त्ल करना मनअ् है उन्हें यहाँ न
छोड़ेंगे बल्कि क़ैद कर के दारुलइस्लाम में लायेंगे (दुर्रे मुख़्तार, मजमउल अनहर)

मसअ्ला :– काफ़िरों के सर काट कर लायें या उन की क़बरें खोद डालें उस में हर्ज नहीं(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अपने बाप दादा को अपने हाथ से क़त्ल करना नाजाइज़ है मगर उसे छोड़ें भी नहीं
उस से लड़ने में मशग़ूल रहे कि कोई और शख़्स आकर उसे मारडाले हाँ अगर बाप, दादा ख़ुद

उस के क़त्ल के दरपे हो और उसे बग़ैर क़त्ल किए चारा न हो तो मार डाले और दीगर रिश्ता दारों के क़त्ल में कोई हर्ज नहीं (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अगर सुलह मुसलमान के हक़ में बेहतर हो तो सुलह करना जाइज़ है और अगर कुछ माल लेकर या देकर सुलह की जाये और सुलह के बाद अगर मसलिहत सुलह तोड़ने में हो तो तोड़ दें मगर यह ज़रूर है कि पहले उन्हें इस की इत्तिलाअ् के बाद फ़ौरन जंग शुरूअ् न करें बल्कि इतनी मुहलत दें कि काफ़िर बादशाह अपने तमाम ममालिक में उस ख़बर को पहुँचा सके यह उस सूरत में है कि सुलह में कोई मीआद न हो और (अगर मीआद हो तो) मीआद पूरी होने पर इत्तिलाअ् की कुछ हाजत नहीं (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– सुलह के बाद अगर किसी काफ़िर ने लड़ना शुरूअ् किया और यह उनके बादशाह की इजाज़त से न हो बल्कि शख़्से ख़ास या कोई जमाअ़त बग़ैर इजाज़ते बादशाह बर सरे पैकार है तो सिर्फ़ उन्हें क़त्ल किया जाये उनके हक़ में सुलह न रही बाक़ियों के हक़ में बाक़ी है(मजमउ़ल अनहर)

मसअला :– काफ़िरों के हाथ हथियार और घोड़े और ग़ुलाम और लोहा वग़ैरा जिस से हथियार बनते हैं बेचना हराम है अगर्चे सुलह के ज़माने में हो यूँहीं ताजिरों पर हराम है कि यह चीज़ें उन के मुल्क में तिजारत के लिए लेजायें बल्कि अगर मुसलमानों को हाजत हो तो ग़ल्ला और कपड़ा भी उन के हाथ न बेचा जाये (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मुसलमान आज़ाद मर्द या औ़रत ने काफ़िरों में किसी एक को या जमाअ़त या एक शहर के रहने वालों को पनाह देदी तो अमान सहीह है अब क़त्ल जाइज़ नहीं अगर्चे अमान देने वाला फ़ासिक़ या अन्धा या बहुत बूढ़ा हो और बच्चा या ग़ुलाम की अमान सहीह होने के लिए शर्त यह है कि उन्हें क़िताल की इजाज़त मिल चुकी हो वरना सहीह नहीं अमान सहीह होने के लिए शर्त यह है कि कुफ़्फ़ार ने लफ़्ज़ अमान सुना हो अगर्चे किसी ज़बान में हो अगर्चे उस लफ़्ज़ के मअ्ना वह न समझते हों और अगर इतनी दूर पर हो कि सुन न सकें तो अमान सहीह नहीं(दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअला :– अमान में ज़रर (नुक़सान) का अन्देशा हो तो बादशाहे इस्लाम उस को तोड़दे मगर तोड़ने की इत्तिलाअ् करदे और अमान देने वाला अगर जानता था कि उस हालत में अमान देना मनअ् था और फिर देदी तो उसे सज़ा दी जाये (मजमउ़ल अनहर)

मसअला : – ज़िम्मी और ताजिर और क़ैदी और मजनून और जो शख़्स दारुल हर्ब में मुसलमान हो और अभी हिजरत न की हो और वह बच्चा और ग़ुलाम जिन्हें क़िताल की इजाज़त न हो यह लोग अमान नहीं दे सकते (दुर्रे मुख़्तार)

ग़नीमत का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ؕ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَصْلِحُوْا ذَاتَ بَیْنِكُمْ ۪ وَ اَطِیْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ۝

तर्जमा :– "नफ़्ल के बारे में तुम से सवाल करते हैं तुम फ़रमा दो नफ़्ल अल्लाह व रसूल के लिए हैं अल्लाह से डरो और आपस में सुलह करो और अल्लाह व रसूल की इताअ़त करो अगर तुम ईमान रखते हो"

और फ़रमाता है

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِی الْقُرْبٰی وَالْیَتٰمٰی وَالْمَسٰکِیْنِ وَابْنِ السَّبِیْلِ

तर्जमा :– और जान लो कि जो कुछ तुम ने ग़नीमत हासिल की है उस में से पाँचवाँ हिस्सा अल्लाह व रसूल के लिए है और क़राबत वाले और यतीमों और मुसाफ़िर के लिए।

हदीस़ न.1 :– सहीहैन में अबू हुरैरा रदियल्लाह तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्ला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हम से पहले किसी के लिए ग़नीमत हलाल नहीं हुई अल्लाह तआला ने हमारे ज़ोअफ़ व इज्ज़ (कमज़ोरी व लाचारी) देख कर उसे हमारे लिए हलाल कर दिया।

हदीस न.2 : – सुनन तिर्मिज़ी ने मुझे तमाम अम्बिया से अफ़ज़ल किया फ़रमाया मेरी उम्मत को तमाम उम्मतों से अफ़ज़ल किया और हमारे लिए ग़नीमत हलाल की।

हदीस न.3 :– सहीहैन में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं एक नबी(यूशअ् इब्ने नून अलैहिस्सल्लाम)ग़ज़वा (मज़हबी जंग)के लिए तशरीफ़ ले गये और अपनी क़ौम से फ़रमाया कि ऐसा शख़्स मेरे साथ न चले जिस ने निकाह किया है और अभी ज़फ़ाफ़ (सुहागरात में मियाँ बीवी मिलन) नहीं किया है और करना चाहता है और न वह शख़्स जिस ने मकान बनाया है और उस की छतें अभी तैयार नहीं हुई हैं और न वह शख़्स जिस ने गाभन जानवर ख़रीदे हैं और बच्चा जनने का मुन्तज़िर है(यानी जिन के दिल किसी काम में मशग़ूल हों वह न चलें सिर्फ़ वह लोग चलें जिन को उधर का ख़याल न हो) जब अपने लश्कर को ले कर करया(बैतुलमुक़द्दस)के क़रीब पहुँचे वक़्ते अस्र आगया(वह जुमआ का दिन था और अब हफ़्ता की रात आने वाली है जिस में क़िताल बनी इसराईल पर हराम था)उन्होंने आफ़ताब को मुख़ातब करके फ़रमाया तू मामूर है और मैं मामूर हूँ ऐ अल्लाह आफ़ताब को रोक दे आफ़ताब रुक गया और अल्लाह ने फ़त्ह दी अब ग़नीमतें जमअ् की गईं उसे खाने के लिए आग आई मगर उस ने नहीं खाया (यानी पहले ज़माना में हुक्म यह था कि ग़नीमत जमअ् की जाये फिर आसमान से आग उतरती और सब को जलादेती अगर ऐसा न होता तो यह समझा जाता कि किसी ने कोई ख़ियानत की है और यहाँ भी यही हुआ)नबी ने फ़रमाया कि तुम ने ख़ियानत की है लिहाज़ा हर क़बीला में से एक शख़्स बैअत करे बैअत हुई एक शख़्स का हाथ उन के हाथ से चिपक गया फ़रमाया तुम्हारे क़बीला में किसी ने ख़ियानत की है उस के बाद वह लोग सोने का एक सर लाये जो गाय के सर बराबर था इस को उस ग़नीमत में शामिल कर दिया फिर हस्बे दस्तूर आग आई और खागई हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया कि हम से क़ब्ल किसी के लिए ग़नीमत हलाल नहीं थी अल्लाह ने ज़ोअफ़ इज्ज़ (कमज़ोरी व लाचारी)की वजह से उसे हलाल कर दिया।

हदीस न.4 :– अबूदाऊद ने अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं हम हब्शा से वापस हुए उस वक़्त पहुँचे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अभी ख़ैबर को फ़तह किया था हुज़ूर ने हमारे लिए हिस्सा मुक़र्रर फ़रमाया और हमें भी अता फ़रमाया जो लोग फ़तहे ख़ैबर में मौजूद न थे उन में हमारे सिवा किसी को हिस्सा न दिया सिर्फ़ हमारी कश्ती वाले जितने थे हज़रते जअ़फ़र और उन के रुफ़क़ा (साथी,दोस्त)उन्हीं को हिस्सा दिया।

हदीस न.5 :– सहीह मुस्लिम में यज़ीद इब्ने हुरमुज़ से मरवी कि नजदए हरूरी ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा के पास लिखकर दरयाफ़्त किया कि ग़ुलाम व औरत ग़नीमत में हाज़िर हों तो आया उन को हिस्सा मिलेगा यज़ीद से फ़रमाया कि लिखदो कि उन के लिए सहम(हिस्सा)नहीं है मगर कुछ दे दिया जाये।

हदीस न.6 :– सहीहैन में अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर लश्कर में से कुछ लोगों को लड़ने के लिए कहीं भेजते तो उन्हें अलावा हिस्सा के कुछ नफ़ल (इनआम) अता फ़रमाते।

हदीस न.7 :– नीज़ सहीहैन में उन्हीं से मरवी कहते हैं हुज़ूर ने हमें हिस्सा के अलावा ख़ुम्स(पाँचवाँ हिस्सा) में से नफ़्ल दिया था मुझे एक बड़ा ऊँट मिला था।

हदीस न.8 :– इब्ने माजा व तिर्मिज़ी इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तलवार ज़ुलफ़िक़ार बद्र के दिन नफ़्ल में मिली थी।

हदीस न.9 :– इमाम बुख़ारी ख़ौला अन्सारिया रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कहती हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कुछ लोग अल्लाह के माल में नाहक़ घुस पड़ते हैं उन के लिए क़ियामत के दिन आग है।

हदीस न. 10 :– अबूदाऊद ब रिवायत अम्र इब्ने शोएब अन अबीहे अन जद्देही रावी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक शुत्र (ऊंट)के पास तशरीफ़ लाये उस के कोहान से एक बाल लेकर फ़रमाया ऐ लोगों इस ग़नीमत में से मेरे लिए कुछ नहीं है (बाल की तरफ़ इशारा कर के)और यह भी नहीं सिवा ख़ुम्स के(कि यह मैं लूँगा)वह भी तुम्हारे ही ऊपर रद हो जायेगा लिहाज़ा सुई और तागा जो कुछ तुम ने लिया है हाज़िर करो एक शख़्स अपने हाथ में बालों का गुच्छा ले कर खड़ा हुआ और अर्ज़ की मैंने पालान दुरुस्त करने के लिए यह बाल लिए थे हुज़ूर ने फ़रमाया उस में मेरा और बनी अब्दुल मुत्तलिब का जो कुछ हिस्सा है वह तुम्हें दिया उस शख़्स ने कहा जब इस का मुआमला इतना बड़ा है तो मुझे ज़रूरत नहीं यह कहकर वापस कर दिया।

हदीस न.11 :– तिर्मिज़ी ने अबू सईद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने क़ब्ल तक़सीमे ग़नीमत को ख़रीदने से मनअ् फ़रमाया।

मसाइले फ़िक़्हिया

ग़नीमत उस को कहते हैं जो लड़ाई में काफ़िरों से बतौर क़हर व ग़ल्बा के लिया जाये **और** लड़ाई के बाद जो उन से लिया जाये जैसे ख़िराज और जुज़या उस को फ़ीह कहते हैं ग़नीमत में ख़ुम्स (पाँचवाँ हिस्सा)निकाल कर बाक़ी चार हिस्से मुजाहिदीन पर तक़सीम कर दिये जायें और फ़ेई कुल बैतुलमाल में रखा जाये (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– दारुल हर्ब में किसी शहर के लोग ख़ुद बख़ुद मुसलमान होगये वहाँ मुसलमानों का तसल्लुत न हुआ था तो सिर्फ़ उन पर उश्र मुक़र्रर होगा यानी जो ज़राअत पैदा हो उस का दसवाँ हिस्सा बैतुलमाल को अदा करदें और अगर ख़ुद बख़ुद ज़िम्मा में दाख़िल हुए तो उन की ज़मीनों पर ख़िराज मुक़र्रर होगा और उन पर जुज़या **और** अगर ग़ालिब आने के बाद मुसलमान हुए तो बादशाह को इख़्तियार है उन पर एहसान करे और ज़मीनों की पैदावार का उश्र ले या ख़िराज

मुकर्रर करे या उन को और उन के अमवाल को खुम्स लेने के बाद मुजाहिदीन पर तकसीम कर दे फत्ह करने के बाद अगर वह मुसलमान न हुए तो इख्तियार है अगर चाहे उन्हें लौन्डी, गुलाम बनाये और खुम्स के बाद उन्हे और उन के अमवाल मुजाहिदीन पर तकसीम कर दे और जमीनों पर उश्र मुकर्रर कर दे और अगर चाहे तो मर्दों को कत्ल कर डाले और औरतों बच्चों और अमवाल को बाद खुम्स तकसीम कर दे **और** अगर चाहे तो सब को छोडदे और उन पर जुजया और जमीनों पर खिराज मुकर्रर कर दे **और** चाहे तो उन्हें वहाँ से निकाल दे और दूसरों को वहाँ बसाये और चाहे तो उन को छोड़ दे और जमीन उन्हें वापस दे और औरतों बच्चों और दीगर अमवाल को तकसीम कर दे मगर उस सूरत में बकद्र जराअत उन्हें कुछ माल भी देदे वरना मकरूह है और चाहे तो सिर्फ अमवाल तकसीम करदे और उन्हें और औरतों, बच्चों और जमीनों को छोड दे मगर थोडा माल बकद्र जराअत देदे वरना मकरूह है **और** अगर तमाम अमवाल और जमीनें तकसीम कर दीं और उन को छोड़ दिया तो यह नाजाइज है(आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर किसी शहर को बतौर सुलह फतह किया हो तो जिन शराइत पर सुलह हुई उन पर बाकी रखे उन के खिलाफ करने की न उन्हें इजाजत है न बाद वालों को और वहाँ की जमीन उन्ही लोगों की मिल्क रहेगी (दुर्रे मुख्तार)

मसअ्ला :– दारुल हर्ब के जानवर कब्जा में किए और उन को दारुलइस्लाम तक नहीं ला सकता तो ज़िबह कर के जलाडाले यूँहीं और सामान जिन को नहीं ला सकता है जलादे और बर्तनों को तोड़ डाले रोगन वगैरा बहादे और हथियार लोहे की चीजें जो जलने के काबिल नहीं उन्हें पोशीदा जगह दफन करदे (दुर्रे मुख्तार)

मसअ्ला :– दारुलहर्ब मे बगैर जरूरत गनीमत तकसीम न करें और अगर बार बरदारी(बोझढोने वाले) के जानवर न हों तो थोड़ी थोडी मुजाहिदीन के हवाला कर दी जाये कि दारुलइस्लाम में आकर वापस दें और यहाँ तकसीम की जाये (दुर्रे मुख्तार)

मसअ्ला :– माले गनीमत को दारुलहर्ब में मुजाहिदीन अपनी ज़रूरत में कब्ल तकसीम सर्फ कर सकते हैं मसलन जानवरो का चारा अपने खाने की चीजें खाना पकाने के लिए ईंधन घी, तेल, शकर मेवे खुश्क व तर, और तेल लगाने की जरूरत हो तो खाने का तेल लगा सकता है **और** खुश्बूदार तेल, मसलन रोगन गुल वगैरा उस वक्त इस्तिअ्माल कर सकता है जब किसी मर्ज़ में उन के इस्तिअ्माल की हाजत हो और गोश्त खाने के जानवर ज़िबह कर सकते हैं मगर चमडा माले गनीमत में वापस करें **और** मुजाहिदीन अपनी बान्दी गुलाम और औरतों, बच्चों, को भी माले गनीमत से खिला सकते हैं और जो शख्स तिजारत के लिए गया है लड़ने के लिए नहीं गया वह और मुजाहिदीन के नौकर माले गनीमत को सर्फ नहीं कर सकते हाँ पका हुआ खाना यह भी खा सकते हैं और पहले से अशया अपने पास रख लेना कि ज़रूरत के वक्त सर्फ करेंगे जाइज़ है यूँहीं जो चीज काम के लिए ली थी और बच गई उसे बेचना भी नाजाइज़ है और बेचडाली तो दाम वापस करे (आलमगीरी, दुर्रे मुख्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– माले गनीमत को बेचना जाइज़ नहीं और बेचा तो चीज वापस ली जाये और वह चीज न हो तो कीमत माले गनीमत में दाखिल करे (दुर्रे मुख्तार)

मसअ्ला :– दारुलहर्ब से निकलने के बाद अब तसर्रुफ (खर्च करने का इख्तेयार)जाइज नहीं है

अगर सब मुजाहिदीन की रज़ा से हो तो हर्ज नहीं और जो चीजें दारुलहर्ब में ली थीं उन में से कुछ बचा है और अब दारुलइस्लाम में आ गया तो बकिया वापस कर दे और वापसी से पहले ग़नीमत तक़सीम हो चुकी तो फ़ुक़रा पर तसद्दुक़ कर दे और ख़ुद फ़क़ीर हो तो अपने काम में लाये और अगर दारुलइस्लाम में पहुँचने के बाद बकिया को सर्फ़ कर डाला है तो क़ीमत वापस करे और ग़नीमत तक़सीम हो चुकी है तो क़ीमत तसद्दुक़ (सदक़ा कर देना) कर दे और ख़ुद फ़क़ीर हो तो कुछ हाजत नहीं (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– माले ग़नीमत में क़ब्ले तक़सीम ख़ियानत करना मनअ् है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जो शख़्स दारुलहर्ब में मुसलमान हो गया वह ख़ुद और उस के छोटे बच्चे और जो कुछ उस के पास माल व मताअ् है सब महफ़ूज़ हैं यह जब कि इस्लाम लाना गिरफ़्तार करने से पहले हो और उस के बाद कि सिपाहियों ने उसे गिरफ़्तार किया अगर मुसलमान हुआ तो वह गुलाम है और अगर होने से पहले उस के बच्चे और अमवाल पर क़ब्ज़ा हो गया और वह गिरफ़्तारी से पहले मुसलमान हो गया तो सिर्फ़ वह आज़ाद है और अगर हर्बी अमन लेकर दारुलइस्लाम में आया था और यहाँ मुसलमान हो गया फिर मुसलमान उस के शहर पर ग़ालिब आये तो बाल बच्चे और अमवाल सब फेई हैं (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जो शख़्स दारुलहर्ब में मुसलमान हुआ और उस ने पेशतर से कुछ माल किसीमुसलमान या ज़िम्मी के पास अमानत रख दिया था तो यह माल भी उस को मिलेगा और हर्बी के पास था तो फेई है और अगर दारुल हर्ब में मुसलमान होकर दारुल इस्लाम में चला आया फिर मुसलमानों का उस शहर पर तसल्लुत हुआ तो उस के छोटे बच्चे महफ़ूज़ रहेंगे और जो अमवाल मुसलमान या ज़िम्मी के पास रखे हैं वह भी उसी के हैं बाक़ी सब फेई हैं (दुर्रे मुख़्तार फ़त्हुल क़दीर)

मसअ्ला :– जो शख़्स दारुलहर्ब में मुसलमान हुआ तो उसकी बालिग़ औलाद और ज़ौजा और ज़ौजा के पेट में जो बच्चा है वह और जाइदाद ग़ैर मनकूला और उस के बाँदी गुलाम लड़ने वाले और उस बाँदी के पेट में जो बच्चा है वह यह सब ग़नीमत हैं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जो हर्बी दारुलइस्लाम में बग़ैर अमान लिये आगया और उसे किसी ने पकड़ लिया तो वह और उस के साथ जो कुछ माल है सब फे है (दुर्रे मुख़्तार)

ग़नीमत की तक़सीम

मसअ्ला :– ग़नीमत के पाँच हिस्से किए जायें एक हिस्सा निकालकर बाक़ी चार हिस्से मुजाहिदीन पर तक़सीम कर दिए जायें और सवार ब निस्बत पैदल के दूना पायेगा यानी एक उस का हिस्सा और एक घोड़े का और घोड़ा अरबी हो या और क़िस्म का सब का एक हुक्म है सरदार, लश्कर और सिपाही दोनों बराबर हैं यानी जितना सिपाही को मिलेगा उतना ही सरदार को भी मिलेगा ऊँट और गधे और ख़च्चर किसी के पास हों तो उन की वजह से कुछ ज़्यादा न मिलेगा यानी उसे भी पैदल वाले के बराबर मिलेगा और अगर किसी के पास चन्द घोड़े हों जब भी उतना ही मिलेगा जितना एक घोड़े के लिए मिलता था (आलमगीरी)

मसअ्ला :– सवार दो चन्द ग़नीमत का उस वक़्त मुस्तहक़ होगा जब दारुलइस्लाम से जुदा होने के वक़्त उस के पास घोड़ा हो लिहाज़ा जो शख़्स दारुलहर्ब में बग़ैर घोड़े के आया और वहाँ घोड़ा ख़रीद लिया तो पैदल का हिस्सा पायेगा और अगर घोड़ा था मगर वहाँ पहुँचकर मर गया तो सवार

का हिस्सा पायेगा और सवार के दो चन्द हिस्से पाने के लिए यह भी शर्त है कि उस का घोड़ा मरीज़ न हो और बड़ा हो यानी लड़ाई के काबिल हो और अगर घोड़ा बीमार था और ग़नीमत से कब्ल अच्छा हो गया तो सवार का हिस्सा पायेगा वरना नहीं और बछरा था और ग़नीमत के कब्ल जवान हो गया तो नहीं और अगर घोड़ा लेकर चला मगर सरहद पर पहुँचने से पहले किसी ने ग़सब कर लिया या कोई दूसरा शख़्स उस पर सवारी लेने लगा या घोड़ा भाग गया और यह शख़्स दारुल हर्ब में पैदल दाख़िल हुआ तो अगर इस सूरत में लड़ाई से पहले उसे वह घोड़ा मिल गया तो सवार का हिस्सा पायेगा वरना पैदल का और अगर लड़ाई से पहले जंग के वक़्त घोड़ा बेचडाला तो पैदल का हिस्सा पायेगा (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– सवार के लिए यह ज़रूरी नहीं कि घोड़ा उस की मिल्क हो बल्कि किराया या आरियत से लिया हो बल्कि अगर ग़सब कर के ले गया जब भी सवार का हिस्सा पायेगा और ग़सब का गुनाह उस पर है और अगर दो शख़्सों की शिरकत में घोड़ा है तो उन में कोई सवार का हिस्सा नहीं पायेगा मगर जब कि दाख़िल होने से पहले एक ने दूसरे से उस का हिस्सा किराये पर ले लिया। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– गुलाम और बच्चा और औरत और मजनून के लिए हिस्सा नहीं खुम्स निकालने से पहले पूरी ग़नीमत में से उन्हें। कुछ दे दिया जाये जो हिस्से के बराबर न हो मगर उस वक़्त कि उन्होंने किताल किया हो या औरत ने मुजाहिदीन का काम किया हो मसलन खाना पकाना बीमारों और ज़ख़्मियों की तीमार दारी करना उन को पानी पिलाना वग़ैरा (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअला :– ग़नीमत का पाँचवाँ हिस्सा जो निकाला गया है उस के तीन हिस्से किए जायें एक हिस्सा यतीमों के लिए और एक मिस्कीनों और एक मुसाफ़िरों के लिए और अगर यह तीनों हिस्से एक ही किस्म मसलन यतामा या मसाकीन पर सर्फ़ कर दिये जब भी जाइज़ है और मुजाहिदीन को हाजत हो तो उन पर सर्फ़ करना भी जाइज़ है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– बनी हाशिम व बनी मुत्तलिब के यतामा और मसाकीन और मुसाफ़िर अगर फ़क़ीर हों तो यह लोग ब निस्बत दूसरों के खुम्स के ज़्यादा हक़दार हैं क्यों कि और फ़ुक़रा तो ज़कात भी ले सकते हैं और यह नहीं ले सकते और यह लोग ग़नी हों तो खुम्स में उन का कुछ हक़ नहीं(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– जो फ़ौज या जो शख़्स लड़ने के इरादे से दारुलहर्ब में पहुँचा और जिस वक़्त पहुँचा लड़ाई ख़त्म हो चुकी है तो यह भी ग़नीमत में हिस्से दार है यूँहीं जो शख़्स गया मगर बीमारी वग़ैरा से लड़ाई में शरीक न हो सका ग़नीमत पायेगा और अगर कोई तिजारत के लिए गया है तो जब तक लड़ने में शरीक न हो ग़नीमत का मुस्तहिक़ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला : – जो शख़्स दारुलहर्ब में मरगया और ग़नीमत न अभी तक़सीम हुई है न दारुलइस्लाम में लाई गई है न बादशाह ने ग़नीमत को बेचा है तो उस का हिस्सा नहीं यानी उस का हिस्सा उस के वारिसों को नहीं दिया जायेगा और अगर तक़सीम हो चुकी है या दारुलइस्लाम में लाई जा चुकी है बादशाह ने बेचडाली है तो उन का हिस्सा वारिसों को मिलेगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– तक़सीम के बाद एक शख़्स ने दअ्वा किया कि मैं जंग में भी शरीक था और गवाहों से इस अम्र को साबित भी कर दिया तो तक़सीम बातिल न की जाये बल्कि उस शख़्स को उस के हिस्से की क़द्र बैतुलमाल से दिया जाये (आलमगीरी)

मसअला :— ग़नीमत में किताबें मिलीं और मालूम नहीं कि उन में क्या लिखा है तो न तक़सीम करें न काफ़िरों के हाथ बेचें बल्कि मोज़अ़े एहतियात (एहतियात की जगह) में दफ़न कर दें कि काफ़िरों को न मिल सकें और अगर बादशाहे इस्लाम मुसलमान के हाथ बेचना चाहे तो ऐसे मुसलमान के हाथ न बेचे जो काफ़िरों के हाथ बेचडाले और क़ाबिले एअ़्तिमाद शख़्स है कि काफ़िरों के हाथ न बेचेगा तो उस के हाथ बेच सकते हैं अगर सोने या चाँदी के हार मिले जिन में सलीब या तसवीरें बनी हैं तो तक़सीम से पहले उन्हें तोड़डाले और ऐसे मुसलमान के हाथ न बेचे जो काफ़िरों के हाथ बेच डालेगा और अगर रुपये अशरफ़ियों में तसवीरें हैं तो बग़ैर तोड़े तक़सीम व बैअ़् कर सकते हैं (आलमगीरी)

मसअला :— शिकारी कुत्ते और बाज़ और शिकरे ग़नीमत में मिले यह भी तक़सीम किए जायें और तक़सीम से क़ब्ल उन से शिकार मकरूह है (आलमगीरी)

मसअला :— जो जमाअ़त बादशाह से इजाज़त ले कर दारुलहर्ब में गई या बा कुव्वत जमाअ़त बग़ैर इजाज़त गई और शबख़ून मार कर वहाँ से माल लाई तो यह ग़नीमत है ख़ुम्स ले कर बाक़ी तक़सीम होगा और अगर यह दोनों बातें न हों न इजाज़त ली न बा कुव्वत जमाअ़त है तो जो कुछ हासिल किया सब उन्हीं का है ख़ुम्स न लिया जाये (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :— अगर कुछ लोग इजाज़त से गये थे और कुछ बग़ैर इजाज़त और यह लोग बाकुव्वत भी न थे तो इजाज़त वाले जो कुछ माल पायेंगे उस में से ख़ुम्स लेकर बाक़ी उन पर तक़सीम हो जायेगा और दूसरे फ़रीक़ ने जो कुछ हासिल किया है उन में न ख़ुम्स है न तक़सीम बल्कि जिस ने जितना पाया वह उसी का है उस का साथ वाला भी उस में शरीक नहीं और अगर इजाज़त वाले और बे इजाज़त दोनों मिल गये और उन के इज्तिमाअ़् से कुव्वत पैदा होगई तो अब ख़ुम्स लेकर ग़नीमत की मिस्ल तक़सीम होगी यानी एक ने भी जो कुछ पाया है वह सब पर तक़सीम हो जायेगा(आलमगीरी)

मसअला :— ग़नीमत की तक़सीम हुई और थोड़ी सी चीज़ बाक़ी रह गई जो क़ाबिले तक़सीम नहीं कि लश्कर बड़ा है और चीज़ थोड़ी तो बादशाह को इख़्तियार है कि फ़ुक़रा पर तसद्दुक़ कर दे या बैतुलमाल में जमअ़् कर दे कि ज़रूरत के वक़्त काम आये (आलमगीरी)

मसअला :— इजाज़त लेकर एक जमाअ़त दारुलहर्ब को गई और उस से बादशाह ने कह दिया जो कुछ पाओगे तुम्हारा है उस में ख़ुम्स नहीं लूँगा तो अगर वह जमाअ़त बा कुव्वत है तो उस का यह कहना जाइज़ नहीं यानी ख़ुम्स लिया जायेगा और बाकुव्वत न हो तो कहना जाइज़ है और ख़ुम्स नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :— बादशाह या सिपहसालार अगर लड़ाई के पहले या जंग के वक़्त कुछ सिपाहियों से यह कह दे कि तुम जो कुछ पाओगे वह तुम्हारा है या यूँहीं कि तुम में जो जिस काफ़िर को क़त्ल करे उस का सामान उस के लिए है तो यह जाइज़ बल्कि बेहतर है कि उस की वजह से उन सिपाहियों को तरग़ीब होगी और उस को नफ़्ल कहते हैं और उस में न ख़ुम्स है न तक़सीम बल्कि वह सब उसी पाने वाले का है अगर यह लफ़्ज़ कहे थे कि जो जिस काफ़िर को क़त्ल करेगा उस मक़तूल का सामान वह ले और ख़ुद बादशाह या सिपाहसालार ने किसी काफ़िर को क़त्ल किया तो यह सामान ले सकता है और यह कहना भी जाइज़ है कि यह सौ रुपये लो और फ़ुलाँ काफ़िर को मार डालो या यूँकि अगर तुम ने फ़ुलाँ काफ़िर को मारडाला तो तुम्हें हज़ार रुपये दूँगा लड़ाई ख़त्म होने और ग़नीमत जमअ़् करने के बाद नफ़्ल देना जाइज़ नहीं हाँ अगर मुनासिब समझे तो ख़ुम्स में

से दे सकता है आलमगीरी (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जिन लोगों को नफ़्ल(इनआम) देना कहा है उन्होंने नहीं सुना औरों ने सुन लिया जब भी उस इनआम के मुस्तहक़ हैं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– दारुलहर्ब में लश्कर है उस में से कुछ लोग कहीं भेजे गये और उन से यह कह दिया कि जो कुछ तुम पाओगे वह सब तुम्हारा है तो जाइज़ है दारुलइस्लाम से यह कह कर भेजा तो नाजाइज़ (आलमगीरी)

मसअला :– ऐसे को क़त्ल किया जिस का क़त्ल जाइज़ न था मसलन बच्चा या मजनून या और औरत को तो मुस्तहक़े इन्आम नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– नफ़्ल का यह मतलब है कि दूसरे लोग उस में शरीक न होंगे न यह कि यह शख़्स अभी से मालिक हो गया बल्कि मालिक उस वक़्त होगा जब दारुल इस्लाम में लाये लिहाज़ा लौन्डी मिली तो जब तक दारुल इस्लाम में लाने के बाद इस्तिबरा न करे वती नहीं कर सकता न उसे फरोख़्त कर सकता है। (आम्मए कुतुब)

इस्तीला–ए–कुफ़्फ़ार का बयान

मसअला :– दारुल हर्ब में एक काफ़िर ने दूसरे काफ़िर को क़ैद कर लिया यानी जंग में पकड़ लिया वह उस का मालिक हो गया लिहाज़ा अगर हम उन से ख़रीद लें या उन क़ैद करने वालों पर मुसलमानों ने चढ़ाई की और उस काफ़िर को उन से ले लिया तो मुसलमान मालिक हो गये यही हुक्म अमवाल का भी है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर हर्बी काफ़िर ज़िम्मी को दारुलइस्लाम से पकड़ ले गये तो उस के मालिक न होंगे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– हर्बी काफ़िर अगर मुसलमान के अमवाल पर क़ब्ज़ा कर के दारुलहर्ब में ले गये तो मालिक हो जायेंगे मगर जब तक दारुलहर्ब को पहुँच न जायें मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि उन का पीछा करें और उन से छीन लें फिर जब कि दारुलहर्ब में ले जाने के बाद अगर वह हर्बी जिन के पास वह अमवाल हैं मुसलमान हो गये तो अब बिलकुल उन की मिल्क साबित हो गई कि अब उन से नहीं लेंगे और अगर मुसलमान उन हरबियों पर दारुलहर्ब में पहुँचने से क़ब्ल ग़ालिब आ गये तो जिस की चीज़ है उसे देदेंगे और कुछ मुआविज़ा न लेंगे और दारुलहर्ब में पहुँचने के बाद ग़ल्बा हुआ और ग़नीमत तक़सीम होने से पहले मालिक ने आकर कहा कि यह चीज़ मेरी है तो उसे बिलामुआविज़ा देदेंगे और ग़नीमत तक़सीम होने के बाद कहा तो अब क़ीमत से देंगे और जिस दिन ग़नीमत में वह चीज़ मिली उस दिन जो क़ीमत थी वह ली जायेगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– काफ़िर अमान लेकर दारुलइस्लाम में आया और किसी मुसलमान की चीज़ चुरा कर दारुल हर्ब में ले गया और वहाँ से कोई मुसलमान वह चीज़ ख़रीद कर लाया तो वह चीज़ मालिक को मुफ़्त दिलादी जायेगी (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– अगर मुसलमान ग़ुलाम भाग कर दारुलहर्ब को चला गया और हरबियों ने उसे पकड़ लिया तो मालिक न होंगे लिहाज़ा अगर मुसलमानों का ग़ल्बा हुआ और वह ग़ुलाम ग़नीमत में मिला तो मालिक को बिला मुआविज़ा दिया जाये अगर्चे ग़नीमत हो चुकी हो हाँ तक़सीम के बाद अगर

दिलाया गया तो जिस के हिस्से में ग़ुलाम पड़ा था उसे बैतुलमाल से क़ीमत दें। (फ़त्ह)

मसअ्ला :– मुसलमान ग़ुलाम भाग कर गया और उस के साथ घोड़ा और माल व अस्बाब भी था और सब पर काफ़िरों ने कब्ज़ा कर लिया फिर उस से सब चीजें और ग़ुलाम कोई शख़्स ख़रीद लाया तो ग़ुलाम बिला मुआविज़ा मालिक को दिलाया जाये और बाक़ी चीजें बक़ीमत और अगर ग़ुलाम मुरतद हो कर दारुलहर्ब को भाग गया तो हरबी पकड़ने के बाद मालिक हो गये (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जो काफ़िर अमान ले कर दारुलइस्लाम में आया उस के हाथ मुसलमान ग़ुलाम न बेचा जाये और बेच दिया तो वापस लेना वाजिब है और अगर वापस भी न लिया यहाँ तक कि ग़ुलाम को लेकर दारुलहर्ब को चला गया तो अब वह आज़ाद है यानी वह ग़ुलाम अगर वहाँ से भाग कर आया या मुसलमानों का ग़ल्बा हुआ और उस ग़ुलाम को वहाँ से हासिल किया तो न किसी को दिया जाये न ग़नीमत की तरह तक़सीम हो बल्कि वह आज़ाद है यूंहीं अगर हर्बी ग़ुलाम मुसलमान हो गया और वहाँ से भाग कर दारुल इस्लाम में आ गया या हमारा लश्कर दारुल हर्ब में था उस लश्कर में आ गया या उस को किसी मुसलमान या ज़िम्मी या हर्बी ने दारुलहर्ब में ख़रीद लिया या उस के मालिक ने बेचना चाहा या मुसलमानों का उन पर ग़ल्बा हुआ बहर हाल आज़ाद हो गया (दुर्रे मुख़्तार)

मुस्तामिन का बयान

मुस्तामिन वह शख़्स है जो दूसरे मुल्क में अमान ले कर गया दूसरे मुल्क से मुराद वह मुल्क है जिस में ग़ैर क़ौम की सल्तनत हो यानी हरबी दारुलइस्लाम में या मुसलमान दारुलकुफ़्र में अमान ले कर गया तो मुस्तामिन है।

मसअ्ला :– दारुलहरब में मुसलमान अमान ले कर गया तो वहाँ वालों की जान व माल से तआरुज़ करना उस पर हराम है कि जब अमान ली तो उस का पूरा करना वाजिब है यूँहीं उन काफ़िरों की औरतें भी उस पर हराम हैं और अगर मुसलमान क़ैद हो कर गया है तो काफ़िरों की जान व माल उस पर हराम नहीं अगर्चे काफ़िरों ने खुद ही उसे छोड़ दिया हो यानी यह अगर वहाँ से कोई चीज़ ले आया या किसी को मारडाला तो गुनाहगार नहीं कि उस ने उन के साथ कोई मुआहिदा नहीं किया है जिस का ख़िलाफ़ करना जाइज़ न हो (जौहरा दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मुसलमान अमान ले कर गया और वहाँ से कोई चीज़ ले कर दारुल इस्लाम में चला गया तो उस शय का अब मालिक हो गया मगर यह मिल्क हराम व ख़बीस है कि उस को ऐसा करना जाइज़ न था लिहाज़ा हुक्म है कि फ़ुक़रा पर सदक़ा कर दे और अगर सदक़ा न किया और उस शय को बेचडाला तो बैअ् सहीह है और अगर उस ने वहाँ निकाह किया था और औरत को जबरन लाया तो दारुल इस्लाम में पहुँचकर निकाह जाता रहा और औरत कनीज़ हो गई (जौहरा दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला : – मुसलमान अमान ले कर दारुल हरब को गया और वहाँ के बादशाह ने बद अ़हदी की मसलन उस का माल ले लिया या क़ैद कर लिया या दूसरे ने इस क़िस्म का कोई मुआमला किया और बादशाह को उस का इल्म हुआ और तदारुक न किया (न रोका) तो अब उन के जान व माल से तअर्रुज़ (छेड़ छाड़)करे तो गुनाहगार नहीं कि बद अ़हदी उन की जानिब से है उस की जानिब से नहीं और उस सूरत में जो माल वग़ैरा वहाँ से लायेगा हलाल है (शरह मुल्तक़ा)

मसअ्ला :– मुसलमान ने दारुल हरब में काफ़िर हरबी की रज़ा मन्दी से कोई माल हासिल किया

तो उस में कोई हरज नहीं मसलन एक रुपया दो रूपये के बदले में बेचा यूँही अगर उस को कर्ज़ दिया और यह ठहरा लिया कि महीना भर में सौ के सवा सौ लूँगा यह जाइज है कि काफ़िर हरबी का माल जिस तरह मिले ले सकता है मगर मुआहिदा के ख़िलाफ़ करना हराम है(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मुसलमान दारुल हरब में अमान ले कर गया है उस ने किसी हरबी को कर्ज़ दिया या कोई चीज़ उस के हाथ उधार बेची या हरबी ने उस मुसलमान को कर्ज़ दिया या उस के हाथ कोई चीज़ उधार बेची या एक ने दूसरे की कोई चीज़ ग़सब की फिर यह दोनों दारुलइस्लाम में आये तो क़ाज़ी शरह उन में बाहम कोई फ़ैसला न करेगा हाँ अब यहाँ आने के बाद अगर इस क़िस्म की बात होगी तो फ़ैसला किया जायेगा यूँहीं अगर दो हरबी अमान ले कर आये और दारुलहरब में उन के दरमियान इस क़िस्म का मुआहिदा हुआ था तो उन में भी फ़ैसला न किया जायेगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मुसलमान ताजिर को यह इजाज़त नहीं कि लौन्डी ग़ुलाम बेचने के लिए दारुल हर्ब जाये हाँ अगर ख़िदमत के लिए जाना चाहता हो तो इजाज़त है(आलमगीरी)

मसअ्ला : – हरबी अमान लेकर दारुल इस्लाम में आया तो पूरे साल भर यहाँ रहने न देंगे और उस से कह दिया जायेगा कि अगर तू यहाँ साल भर रहेगा तो जुज़या मुक़र्रर होगा अब अगर साल भर रहेगा तो जुज़या लिया जायेगा और वह ज़िम्मी हो जायेगा और अब दारुलहरब जाने न देंगे अगर्चे तिजारत या किसी और काम के लिए जाना चाहता हो और चला गया तो बदस्तूर हरबी हो गया उस का ख़ून मुबाह है (जौहरा)

मसअ्ला :– साल से कम जितनी चाहे बादशाहे इस्लाम उसके लिए मुद्दत मुक़र्रर कर दे और यह कह दे कि अगर तू इस मुद्दत से ज़्यादा ठहरा तो तुझ से जुज़या लिया जायेगा और उस वक़्त वह ज़िम्मी हो जायेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– हरबी अमान ले कर आया और यहाँ ख़िराजी या उशरी ज़मीन ख़रीदी और ख़िराज उस पर मुक़र्रर हो गया तो अब ज़िम्मी हो गया और जिस वक़्त ख़िराज मुक़र्रर हुआ उसी वक़्त साले आइन्दा का जुज़या भी वुसूल किया जायेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– किताबिया औरत अमान लेकर दारुलइस्लाम में आई और उस से किसी मुसलमान या ज़िम्मी ने निकाह कर लिया तो अब ज़िम्मिया हो गई अब दारुल हरब को नहीं जा सकती यूँहीं अगर मियाँ बीवी दोनों आये और शौहर यहाँ मुसलमान हो गया तो औरत अब नहीं जा सकती और अगर मर्द हरबी ने किसी ज़िम्मी औरत से निकाह किया तो उस की वजह से ज़िम्मी न हुआ हो सकता है कि तलाक़ देकर चला जाये (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– हरबी ने अपने ग़ुलाम को तिजारत के लिए दारुल इस्लाम में भेजा ग़ुलाम यहाँ आकर मुसलमान हो गया तो ग़ुलाम बेचडाला जायेगा और उस का समन (क़ीमत)हरबी के लिए महफ़ूज़ रखा जायेगा यह नहीं हो सकता कि ग़ुलाम वापस दिया जाये (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुस्तामिन जब दारुल हरब को चला गया तो अब फिर हरबी हो गया और अगर उस ने किसी मुसलमान या ज़िम्मी के पास माल रखा था या उन पर उस का दैन था और उस काफ़िर को किसी ने क़ैद कर लिया या उस मुल्क को मुसलमान ने फ़तह कर लिया और उस को मारडाला तो दैन साक़ित हो गया और वह अमानत फ़ी है और अगर बग़ैर ग़ल्बा वह मारा गया या मर गया तो दैन और अमानत उस के वारिसों के लिए है (मुलतक़ा)

मसअला :– हरबी या मुरतद या वह शख़्स जिस पर किसास लाज़िम आया भाग कर हरम शरीफ़ में चला जाये तो वहाँ कत्ल न करेंगे बल्कि उसे वहाँ खाना पीना कुछ न दें कि निकलने पर मजबूर हो और वहाँ से निकलने के बाद कत्ल कर डालें और अगर हरम में किसी ने ख़ून किया तो उसे वहीं कत्ल कर सकते हैं उस की ज़रूरत नहीं कि निकले तो कत्ल करें (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– जो जगह दारुल हरब है अब वह दारुलइस्लाम उस वक़्त होगी कि मुसलमान के कब्जे में आजाये और वहाँ अहकामे इस्लाम जारी हो जायें और दारुलइस्लाम उस वक़्त दारुलहरब होगा जबकि यह तीन बातें पाई जायें (1)कुफ़्र के अहकाम जारी हो जायें और इस्लामी अहकाम बिलकुल रोक दिए जायें और अगर इस्लाम के अहकाम भी जारी हैं और कुफ़्र के भी तो दारुल हरब न हुआ। (2)दारुल हरब से मुत्तसिल हो कि उस के और हरब के दरमियान में कोई इस्लामी शहर न हो। (3) उस में कोई मुसलमान या ज़िम्मी अमान अव्वल बर बाकी न हो (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)इस से मालूम हुआ कि हिन्दुस्तान बेहम्दिही तआला अब तक दारुल इस्लाम है बअ्ज़ों ने ख़्वाह मख़्वाह उसे दारुल हरब ख़्याल कर रखा है यहाँ के मुसलमान पर लाज़िम है कि बाहम रज़ा मन्दी से कोई काज़ी मुकर्रर करें कि कम अज़ कम इस्लामी मुआमलात जिन के लिए मुसलमान हाकिम होना शर्त है उस से फ़ैसला करायें और यह मुसलमान की बद नसीबी है कि बावुजूद उस के कि अंग्रेज़ उन्हें इस से नहीं रोकते फिर अहकामे शरईया के इजरा की बिलकुल परवाह नहीं।

उश्र व ख़िराज का बयान

ज़मीने अरब और बसरा और ज़मीन जहाँ के लोग खुद बखुद मुसलमान हो गये और जो शहर कहरन फतह किया गया और वहाँ की ज़मीन मुजाहिदीन पर तक़सीम कर दी गई यह सब उशरी हैं और भी उशरी होने की बाज़ सूरतें हैं जिन को हम किताबुज़्ज़कात में बयान कर आये और जो शहर बतौर सुलह फ़तह हो या जो लड़कर फ़तह किया गया मगर मुजाहिदीन पर तक़सीम न हुआ बल्कि वहाँ के लोग बरक़रार रखे गये या दूसरी जगह के काफ़िर वहाँ बसादिए गये यह सब ख़िराजी हैं बनजर ज़मीन को मुसलमान ने खेत किया अगर उस के आस पास की ज़मीन उशरी है तो यह भी उश्री और ख़िराजी हैं तो ख़िराजी।

मसअला : – ज़मीन वक़्फ़ कर दी तो अगर पहले उशरी थी तो अब भी उशरी है ख़िराजी थी तो अब भी ख़िराजी और अगर बैतुलमाल से ख़रीद कर वक़्फ़ की तो अब ख़िराज नहीं और उशरी थी तो उश्र है (रद्दुल मुहतार)उश्र व ख़िराज के मसाइल बक़द्र ज़रूरत किताबुज़्ज़कात में बयान कर दिये गये वहाँ से मालूम करें उन से ज़ाइद जुज़ईयात की हाजत नहीं मालूम होती लिहाज़ा उन्हीं पर इक्तिफ़ा करें। तम्बीह इस ज़माने के मुसलमानों ने उश्र व ख़िराज को उमूमन छोड़ रखा है बल्कि जहाँ तक मेरा ख़्याल है बहुतेरे वह मुसलमान हैं जिन के कान भी इन लफ़्ज़ों से आशना नहीं जानते ही नहीं कि खेत की पैदावार में भी शरअ् ने कुछ दूसरों का हक़ रखा है हालाँकि कुर्आन मजीद में मौला तआला ने इरशाद फ़रमाया اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ

तर्जमा :– "ख़र्च करो अपनी पाक कमाईयों से और उस से कि हम ने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाला" अगर मुसलमान इन बातों से वाकिफ़ हो जायें तो अब भी बहुतेरे ख़ुदा के बन्दे वह हैं जो इत्तिबाए शरीअत की कोशिश करते हैं जिस तरह ज़कात देते हैं उन्हें भी अदा करेंगे वल्लाहु हुवल्मूफ़िक़।

जुज़या का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّ لَا رِكَابٍ وَّ لٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ وَ لِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَ مَا اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

तर्जमा :– "अल्लाह ने काफ़िरों से जो कुछ अपने रसूल को दिलाया उस पर न तुम ने घोड़े दौड़ाये न ऊँट व लेकिन अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहता है मुसल्लत फ़रमादेता है और अल्लाह हर शय पर क़ादिर है जो कुछ अल्लाह ने अपने रसूल को बस्तियों वालों से दिलाया वह अल्लाह व रसूल के लिए है और क़राबत वाले और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफ़िर के लिए(यह इस लिए बयान किया गया कि)तुम में के मालदार लोग लेने देने न लगें और जो कुछ रसूल तुम को दें उसे ले लो और जिस चीज़ से मनअ़ करें उस से बाज़ रहो और अल्लाह से डरो बेशक अल्लाह सख़्त अ़ज़ाब वाला है"

हदीस न.1 :– अबूदाऊद,व मआ़ज़ इब्ने जबल रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने जब उन को यमन (का हाकिम बना कर)भेजा तो यह फ़रमाया कि हर बालिग़ से एक दीनार वुसूल करें या उस क़ीमत का मुआफ़री यह एक कपड़ा है जो यमन में होता है।

हदीस न.2 :– इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया एक ज़मीन में दो क़िब्ले दुरुस्त नहीं और मुसलमान पर जुज़या नहीं।

हदीस न.3 :– तिर्मिज़ी ने उक़्बा इब्ने आ़मिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह हम काफ़िरों के मुल्क में जाते हैं वह न हमारी मेहमानी करते हैं न हमारे हुक़ूक़ अदा करते हैं और हम ख़ुद जबरन लेना अच्छा नहीं समझते (और उस की वजह से हम को बहुत ज़रर होता है)इरशाद फ़रमाया कि अगर तुम्हारे हुक़ूक़ ख़ुशी से न दें तो जबरन वुसूल करो।

हदीस न.4 :– इमाम मालिक असलम से रावी कि अमीरुलमोमिनीन फ़ारुके आज़म रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने यह,जुज़या,मुक़र्रर किया सोने वालों पर चार दीनार और चाँदी वालों पर चालीस दिरहम और उस के अ़लावा मुसलमानों की ख़ुराक और तीन दिन की मेहमानी उन के ज़िम्मे थी।

मसाइले फ़िक़्हिया

सलतनते इस्लामिया की जानिब से ज़िम्मी कुफ़्फ़ार पर जो मुक़र्रर किया जाता है उसे जुज़या कहते हैं जुज़या की दो किस्में हैं एक वह कि उन से किसी मिक़दार मुअ़य्यन पर सुलह हुई कि सालाना वह हमें इतना देंगे उस में कमी बेशी कुछ नहीं हो सकती न शरअ़ ने इस की कोई ख़ास

मिक़दार मुक़र्रर की बल्कि जितने पर सुलह हो जाये वह है दूसरी यह कि मुल्क को फ़तह किया और काफ़िरों के इमलाक बदस्तूर छोड़दिये गये उन पर सलतनत की जानिब से हसबे हाल कुछ मुक़र्रर किया जायेगा उस में उन की ख़ुशी या नाख़ुशी का एअ्तिबार नहीं उस की मिक़दार यह है कि मालदारों पर अड़तालीस दिरहम सालाना हर महीने में चार दिरहम मुतवस्सित शख़्स पर चौबीस दिरहम सालाना हर महीने में दो दिरहम। फ़क़ीर कमाने वाले पर बारह दिरहम सालाना हर माह में एक दिरहम अब इख़्तियार है कि शुरूअ् साल में साल भर का लेलें या माह बमाह वुसूल करें दूसरी सूरत में आसानी है मालदार और फ़क़ीर और मुतवस्सित किस को कहते हैं यह वहाँ के उर्फ़ और बादशाह की राए पर है और एक क़ौल यह भी है कि जो शख़्स नादार (गरीब)हो या दो सौ दिरहम से कम का मालिक हो फ़क़ीर है और दो सौ से दस हज़ार से कम तक का मालिक हो तो मुतवस्सित है और दस हज़ार या ज़्यादा का मालिक हो तो मालदार है(दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार आलमगीरी)

मसअ्ला :– फ़क़ीर कमाने वाले से मुराद वह है कि कमाने पर क़ादिर हो यानी अअ्ज़ा सालिम हों निस्फ़ साल या अकसर में बीमार न रहता हो ऐसा भी न हो कि उसे कोई काम करना आता न हो न इतना बेवकूफ़ हो कि कुछ काम न कर सके (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– साल के अकसर हिस्सा में मालदार रहा और छः महीने में फ़क़ीर तो मुतवस्सित इब्तिदाए साल में जब मुक़र्रर किया जायेगा उस वक़्त की हालत देखकर मुक़र्रर करेंगे और अगर उस वक़्त कोई उज़्र हो तो उस का लिहाज़ किया जायेगा फिर अगर वह उज़्र इसनाए साल में जाता रहा और साल का अकसर हिस्सा बाक़ी है तो मुक़र्रर करदेंगे (आलमगीरी, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मुरतद से जुज़या न लिया जाये इस्लाम लाये फ़बिहा वरना क़त्ल कर दियाजाये(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– बच्चा और औरत और गुलाम व मकातिब व मुदब्बर, पागल, बोहरे, लुन्झे, बेदस्त व पा, अपाहिज, फ़ालिज की बीमारी वाले, बूढ़े, आजिज़, अन्धे, फ़क़ीर, नाकारा, पुजारी जो लोगों से मिलता जुलता नहीं और काम पर क़ादिर न हो उस सब से जुज़या नहीं लिया जायेगा अगर्चे अपाहिज वग़ैरा मालदार हों। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला :– जो कुछ कमाता है सब सर्फ़ हो जाता है बचता नहीं तो उस से जुज़या न लेंगे(आलमगीरी)

मसअ्ला :– शुरूअ् साल में जुज़या मुक़र्रर करने से पहले बालिग़ हो गया तो उस पर भी जुज़या मुक़र्रर किया जायेगा और अगर उस वक़्त नाबालिग़ था मुक़र्रर हो जाने के बाद बालिग़ हुआ तो नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– इसनाए साल में साले तमाम के बाद मुसलमान हो गया तो जुज़या नहीं लिया जायेगा अगर्चे कई बरस का उस के ज़िम्मे बाक़ी हो और अगर दो बरस का पेशगी ले लिया हो तो साले आइन्दा का जो लिया है वापस करें और अगर जुज़या न लिया और दूसरा साल शुरूअ् हो गया तो साले गुज़िश्ता का साक़ित हो गया यूँहीं मरजाने अन्धे होने अपाहिज हो जाने, फ़क़ीर हो जाने, लुन्जे हो जाने से कि काम पर क़ादिर न हों जुज़या साक़ित हो जाता है(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– नौकर या गुलाम या किसी और के हाथ जुज़या भेज नहीं सकता बल्कि ख़ुद ले कर हाज़िर हो और खड़ा हो कर अदब के साथ पेश करे यानी दोनों हाथ में रखकर जैसे नज़रें दिया

करते हैं और लेने वाला उस के हाथ से वह रक़म उठाले यह नहीं होगा कि यह ख़ुद उस के हाथ में देदे जैसे फ़क़ीर को दिया करते हैं(आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला :– जुज़या व ख़िराज मुसालेह आम्मए मुसलिमीन में सर्फ़ किए जायें मसलन सरहद पर जो फ़ौज रहती है उस पर ख़र्च हों और पुल और मस्जिद व हौज़ व सरा बनाने में ख़र्च हों और मसाजिद के इमाम व मुअज़्ज़िन पर ख़र्च करें और उलमा व तलबा और क़ाज़ियों और उन के मातहत काम करने वालों को दें और मुजाहिदीन और उन सब के बाल बच्चों के खाने के लिए दें (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– दारुलइस्लाम होने के बाद ज़िम्मी अब नये गिरजे और बुत ख़ाने और आतिशकदा नहीं बना सकते और पहले के जो हैं वह बाक़ी रखे जायेंगे अगर लड़कर शहर को फ़तह किया है तो वह रहने के मकान होंगे और सुलह के साथ फ़तह हुआ तो बदस्तूर इबादत ख़ाने रहेंगे अगर उन के इबादत ख़ाने मुन्हदिम हो गये और फिर बनाना चाहें तो जैसे थे वैसे ही उसी जगह बना सकते हैं न बढ़ा सकते हैं न दूसरी जगह उन के बदले में बना सकते न पहले से ज़्यादा मुस्तहकम बना सकते मसलन पहले कच्चा था तो अब भी कच्चा ही बना सकेंगे ईंट का था तो पत्थर का नहीं बना सकते बादशाहे इस्लाम या मुसलमानों ने मुन्हदिम कर दिया है तो उसे दोबारा नहीं बना सकते और ख़ुद मुन्हदिम किया हो तो बना सकते हैं और पेश्तर से अब कुछ ज़्यादा कर दिया हो तो ढादेंगे (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– ज़िम्मी काफ़िर मुसलमानों से वज़अ् कतअ् लिबास वग़ैरा हर बात में मुमताज़ रखा जायेगा जिस क़िस्म का लिबास मुसलमान का होगा वह ज़िम्मी न पहने उस की ज़मीन भी और तरह की होगी हथियार बनाने की उसे इजाज़त नहीं बल्कि उसे हथियार रखने भी न देंगे ज़िन्नार वग़ैरा जो उस की अलामत की चीज़े हैं उन्हें ज़ाहिर रखे कि मुसलमान को धोका न हो अमामा न बाँधे रेशम की ज़न्नार न बाँधे लिबासे फ़ाख़िरा जो उलमा वग़ैरा अहले शरफ़ के साथ मख़सूस है न पहने मुसलमान खड़ा हो तो वह उस वक़्त न बैठे उन की औरतें भी मुसलमान औरतों की तरह कपड़े वग़ैरा न पहने ज़िम्मियों के मकानों पर भी कोई अलामत ऐसी हो जिस से पहचाने जायें कि कहीं साइल दरवाजों पर खड़ा हो कर मग़फ़िरत की दुआ न दे ग़र्ज़ उस की हर बात मुसलमानों से जुदा हो (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी वग़ैरहुमा)

मसअला :– अब चुँकि हिन्दुस्तान में इस्लामी सलतनत नहीं लिहाज़ा मुसलमानों को यह इख़्तियार न रहा कि कुफ़्फ़ार को किसी वज़अ् वग़ैरा का पाबन्द करें अल्बत्ता मुसलमानों के इख़्तियार में यह ज़रूर है कि ख़ुद उन की वज़अ् इख़्तियार न करें मगर बहुत अफ़सोस होता है कि जबकि किसी मुसलमान को काफ़िरों की सूरत में देखा जाता है लिबास व वज़अ् कतअ् में कुफ़्फ़ार से इम्तियाज़ नहीं रखते बल्कि बाज़ मरतबा ऐसा इत्तिफ़ाक़ हुआ है कि नाम दरयाफ़्त करने के बाद मालूम हुआ कि यह मुसलमान हैं मसुलमानों का एक ख़ास इम्तियाज़ दाढ़ी रखना था उस को आज कल लोगों ने बिल्कुल फ़ुज़ूल समझ रखा है नसारा की तक़लीद में दाढ़ी का सफ़ाया सर पर बालों का गुप्फ़ा मूँछें बड़ी बड़ी या बीच में ज़रा सी जो देखे से मसनूई मालूम होती हैं अगर रखें तो नसारा की सी कम करें तो नसारा की तरह **इस्लामी** बात सब ना पसन्द कपड़े जूते हों तो नसरानियों के से खाना

खायें तो उन की तरह और अब कुछ दिनों से जो नसारा की तरफ़ से मुन्हरिफ़ हुए तो घर लौट कर न आये बल्कि मुश्रिकों हिन्दूओं की तक़लीद इख़्तियार की टोपी हिन्दू के नाम की हिन्दू जो कहें उस पर दिल व जान से हाज़िर अगर्चे इस्लाम के अहकाम पसे पुश्त (पीठ पीछे)हों अगर वह कहें और जब वह कहे रोज़ा रखने को तय्यार मगर रमज़ान में पान खाकर निकलना न शर्म न आ़र वह कहे तो दिन भर बाज़ार बन्द ख़रीद व फ़रोख़्त हराम, और ख़ुदा फ़रमाता है कि जब जुमआ की अज़ान हो तो ख़रीद व फ़रोख़्त छोड़ो उस की तरफ़ अस्लन इल्तिफ़ात (तवज्जह)नहीं ग़र्ज़ मुसलमानों की जो अबतर (बहुत बुरी) हालत है उस का कहाँ तक रोना रोया जाये यह हालत न होती तो यह दिन क्यों देखने पड़ते और उन की क़ुव्वते मुन्फ़इ़ला इतनी क़वी है और क़ुव्वत फ़ाइला ज़ाइल हो चुकी तो अब क्या उमीद हो सकती है कि यह मुसलमान कभी तरक्क़ी का ज़ीना तै करेंगे ग़ुलाम बनकर अब भी हैं और जब भी रहेंगे। (वलअयाज़ु बिल्लाहि तआ़ला)

मसअ्ला :– नसरानी ने मुसलमान से गिरजे का रास्ता पूछा या हिन्दू ने मन्दिर का तो न बताये कि गुनाह पर इआ़नत करना है अगर किसी मुसलमान का बाप या माँ काफ़िर है और कहे कि मुझे बुतख़ाना पहुँचा दे तो न लेजाये और अगर वहाँ से आना चाहते हैं तो ला सकता है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– काफ़िर को सलाम न करे मगर बज़रूरत और वह आता हो तो उस के लिए रास्ता वसीअ् न करे बल्कि उस के लिए तंग रास्ता छोड़े (आलमगीरी)

मसअ्ला :– काफ़िर शंख या नाक़ूस बजाना चाहें तो मुसलमान न बजाने दें अगर्चे अपने घरों में बजायें यूँहीं अगर अपने मअ्बूदों के जुलूस वग़ैरा निकालें तो रोकदें और कुफ़्र व शिर्क की बात अ़लानिया बकने से भी रोके जायें यहाँ तक कि यहूद व नसारा अगर यह गढ़ी हुई तोरात व इन्जील बलन्द आवाज़ से पढ़ें और उस में कोई कुफ़्र की बात हो तो रोक दिए जायें और बाज़ारों में पढ़ना चाहें तो मुतलक़न रोके जायें अगर्चे कुफ़्र न बकें (आ़लमगीरी)जब तोरात व इन्जील के लिए यह अहकाम हैं तो रामायण, वेद, वग़ैरहा ख़ुराफ़ाते हुनूद कि मजमुआ़–ए–शिर्क हैं उन के लिए अशद हुक्म होगा मगर यह अहकाम तो इस्लामी थे जो सलतनत के साथ मुतअ़ल्लिक़ थे और जब सलतनत न रही तो ज़ाहिर है कि रोकने की भी ताक़त न रही मगर अब मुसलमान इतना तो कर सकते हैं कि ऐसी जगहों से दूर भागें न यह कि ईसाईयों और उन के लैक्चरों और जलसों में शरीक हों और वहाँ अपनी आँखों से अहकामे इस्लाम की बेहुरमती देखें और कानों से ख़ुदा व रसूल की शान में गुस्ताख़ियाँ सुनें और जाना न छोड़ें मगर न इल्म रखते हैं कि जवाब दें न हया रखते हैं कि बाज़ आयें।

मसअ्ला :– शहर में शराब लाने से मनअ् किया जायेगा अगर कोई मुसलमान शराब लाया और गिरफ़्तार हुआ और उ़ज़्र यह करता है कि मेरी नहीं किसी और की है और नाम भी नहीं बताता कि किस की है या कहता है सिरका बनाने के लिए लाया हूँ तो अगर वह शख़्स दीनदार है छोड़देंगे वरना शराब बहादेंगे और उसे सज़ा देंगे और क़ैद करदेंगे जब तक कि तौबा न करे और अगर काफ़िर लाया हो और गिरफ़्तार हुआ और यह न जानता हो कि लाना नहीं चाहिए तो उसे शहर से निकालदें और कह दिया जाये कि अगर फिर लाया तो सज़ा दी जायेगी(आलमगीरी)

मुरतद का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ج وَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

'तर्जमा :– 'तुम में से जो कोई अपने दीन से मुरतद हो जाये और कुफ़्र की हालत में मरे उस के तमामअअ्माल दुनिया और आख़िरत में राएगाँ हैं और वह लोग जहन्नमी हैं उस में हमेशा रहेंगे

और फ़रमाता है

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّوْنَهٗۤ لا اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ز يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ط ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ط وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

तर्जमा :– "ऐ ईमान वालो तुम में से जो कोई अपने दीन से मुरतद हो जाये तो अन्क़रीब अल्लाह एक ऐसी क़ौम लायेगा जो अल्लाह को महबूब होगी और वह अल्लाह को महबूब रखेगी मुसलमान के सामने ज़लील और काफ़िरों पर सख़्त होगी वह लोग अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरेंगे यह अल्लाह का फ़ज़्ल है जिसे चाहता है देता है और अल्लाह वुसअ़त वाला है"

और फ़रमाता है

قُلْ اَبِاللّٰهِ وَ اٰيٰتِهٖ وَ رَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ط

तर्जमा :– "तुम फ़रमादो क्या अल्लाह और उस की आयतों और उस के रसूल के साथ तुम मसख़रापन करते थे बहाने न बनाओ तुम ईमान लाने के बाद काफ़िर हो गये"

हदीस न.1 :– इमाम बुख़ारी ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया बन्दा कभी अल्लाह तआ़ला की ख़ुश्नूदी की बात कहता है और उस की तरफ़ तवज्जोह भी नहीं करता (यानी अपने नज़दीक एक मामूली बात कहता है)अल्लाह तआ़ला उस की वजह से उस के बहुत दरजे बलन्द करता है और कभी अल्लाह की नाराज़ी की बात करता है और उस का ख़याल भी नहीं करता उस की वजह से जहन्नम में गिरता है और एक रिवायत में है कि मशरिक़ व मग़रिब के दरमियान में जो फ़ासिला है उस से भी फ़ासिला पर जहन्नम में गिरता है।

हदीस न.2 व 3 :– सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊ़द रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो मुसलमान अल्लाह की वहदानियत और मेरी रिसालत की शहादत देता है उस का ख़ून हलाल नहीं मगर तीन वजह से वह किसी को क़त्ल करे और सय्यब ज़ानी और दीन से निकल जाने वाला जो जमाअ़ते मुस्लिमीन को छोड़देता है और तिर्मिज़ी व नसाई व इब्ने माजा ने इसी की मिस्ल हज़रत उ़समान रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की।

हदीस़ न.4 :– सहीह बुख़ारी शरीफ़ में इकरमा से मरवी कहते हैं कि हज़रत अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु की ख़िदमत में चन्द ज़िन्दीक़ पेश किए गये उन्होंने उन को जलादिया जब यह ख़बर अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा को पहुँची तो यह फ़रमाया कि मैं होता तो नहीं जलाता क्योंकि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने इस से मनअ् किया फ़रमाया कि अल्लाह के अ़ज़ाब के साथ तुम अ़ज़ाब मत दो और मैं उन्हें क़त्ल करता इस लिए कि हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया है जो शख़्स़ अपने दीन को बदल दे उसे क़त्ल कर डालो।

मसअ्ला :– कुफ़्र व शिर्क से बदतर कोई गुनाह नहीं और वह भी इरतिदाद कि यह कुफ़्रे अस़ली से भी बएअ्तिबार अहकाम सख़्त तर है जैसा कि उस के अहकाम से मालूम होगा मुसलमान को चाहिए कि उस से पनाह माँगता रहे कि शैतान हर वक़्त ईमान की घात में है और ह़दीस में फ़रमाया कि शैत़ान इनसान के बदन में ख़ून की त़रह़ तैरता है आदमी को कभी अपने ऊपर या अपनी त़ाअ़त (फ़रमाँबरदारी)व अअ्माल पर भरोसा न चाहिए हर वक़्त ख़ुदा पर एअ्तिमाद करे और उसी से बक़ाए ईमान की दुआ़ चाहे कि उसी के हाथ में क़ल्ब है और क़ल्ब को क़ल्ब इसी वजह से कहते हैं कि लोट पोट होता रहता है ईमान पर साबित रहना उसी की तौफ़ीक़ से है जिस के दस्ते क़ुदरत में क़ल्ब है और ह़दीस में फ़रमाया कि शिर्क से बचो कि वह चींटी की चाल से ज़्यादा मख़फ़ी है और उस से बचने की ह़दीस में एक दुआ़ इरशाद फ़रमाई उसे हर रोज़ तीन मरतबा पढ़ लिया करो हुज़ूर अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम का इरशाद है कि शिर्क से महफ़ूज़ रहोगे वह दुआ़ यह है।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَّ اَنَا اَعْلَمُ وَ اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ

मुरतद वह शख़्स़ है कि इस्लाम के बाद किसी ऐसे अम्र का इन्कार करे जो ज़रूरियाते दीन से हो यानी ज़बान से कलिमा–ए–कुफ़्र बके जिस में तावीले स़हीह की गुनजाइश न हो यूँहीं बाज़ अफ़आ़ल भी ऐसे हैं जिन से काफ़िर हो जाता है मसलन बुत को सजदा करना मुस़हफ़ शरीफ़ को नजासत की जगह फेंकदेना।

मसअ्ला :– जो बतौर तमस्ख़ुर और ठट्ठे के कुफ़्र करेगा वह भी मुरतद है अगर्चे कहता है ऐसा एअ्तिक़ाद नहीं रखता (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– किसी कलाम में चन्द मअ्ना बनते हैं बाज़ कुफ़्र की त़रफ़ लाते हैं बाज़ इस्लाम की त़रफ़ तो उस शख़्स़ की तकफ़ीर नहीं की जायेगी हाँ अगर मालूम हो कि काइल ने मअ्ना–ए–कुफ़्र का इरादा किया मसलन वह ख़ुद कहता है कि मेरी मुराद यही है तो कलाम का मोहतमिल (शक वाला)होना नफ़अ् न देगा यहाँ से मालूम हुआ कि कलिमा के कुफ़्र होने से काइल का काफ़िर होना ज़रूरी नहीं (रद्दुल मुहतार वग़ैरा) आज कल बाज़ लोगों ने यह ख़याल कर लिया है कि किसी शख़्स़ में एक बात भी इस्लाम की हो तो उसे काफ़िर न कहेंगे यह बिलकुल ग़लत़ है क्या यहूद व नस़ारा में इस्लाम की कोई बात नहीं पाई जाती हाँलाकि क़ुर्आन अ़ज़ीम में उन्हें काफ़िर फ़रमाया गया बल्कि बात यह है कि उ़लमा ने फ़रमाया यह था कि अगर किसी मुसलमान ने ऐसी बात कही जिस के बाज़ मअ्ना इस्लाम के मुत़ाबिक़ हैं तो काफ़िर न कहेंगे उस को उन लोगों ने यह बनालिया एक यह वबा भी फैली हुई है कहते हैं"हम तो काफ़िर को भी काफ़िर न कहेंगे कि हमें क्या मालूम कि उस का ख़ातिमा कुफ़्र पर होगा" यह भी ग़लत़ है क़ुर्आन अ़ज़ीम ने काफ़िर को काफ़िर

(قل يا يها الكافرون)और काफ़िर कहने का हुक्म दिया और अगर ऐसा है तो मुसलमान को भी मुसलामन न कहो तुम्हें क्या मालूम कि इस्लाम पर मरेगा ख़ातिमा का हाल तो ख़ुदा जाने मगर शरीअत ने काफ़िर व मुस्लिम में इम्तियाज़ रखा है अगर काफ़िर को काफ़िर न जाना जाये तो क्या उस के साथ वही मुआमलात करोगे जो मुस्लिम के साथ होते हैं हालाँकि बहुत से उमूर ऐसे हैं जिन में कुफ़्फ़ार के अहकाम मुसलामनों से बिल्कुल जुदा हैं मसलन उन के जनाज़ा की नमाज़ न पढ़ना उन के लिए इस्तिग़फ़्फ़ार न करना उन को मुसलमानों की तरह दफ़न न करना, उन को अपनी लड़कियाँ न देना, उन पर जिहाद करना, उन से जुज़्या लेना, इस से इन्कार करें तो क़त्ल करना वग़ैरा। बाज़ जाहिल यह कहते हैं कि हम किसी को काफ़िर नहीं कहते आलिम लोग जानें वह काफ़िर कहें मगर क्या यह लोग नहीं जानते कि अवाम के तो वही अक़ाइद होंगे जो क़ुर्आन व हदीस वग़ैरहुमा से उलमा ने उन्हें बताये या अवाम के लिए कोई शरीअत जुदागाना है जब ऐसा नहीं तो फिर आलिमे दीन के बताये पर क्यों नहीं चलते नीज़ यह कि ज़रूरियात का इन्कार कोई ऐसा अम्र नहीं जो उलमा ही जानें अवाम जो उलमा की सोहबत से मुशर्रफ़ होते रहते हैं वह भी उन से बे ख़बर नहीं होते फिर ऐसे मुआमले में पहलू तिही और एअ्राज़ के क्या मअ्ना।

मसअ्ला :– कहना कुछ चाहता था और ज़बान से कुफ़्र की बात निकल गई तो काफ़िर न हुआ यानी जब कि उस अम्र से इज़हारे नफ़रत करे सुनने वालों को भी मालूम हो जाये कि ग़लती से यह लफ़्ज़ निकला है और अगर बात की पच की तो अब काफ़िर हो गया कि कुफ़्र की ताईद करता है।

मसअ्ला :– कुफ़री बात का दिल में ख़याल पैदा हुआ और ज़बान से बोलना बुरा जानता है तो यह कुफ़्र नहीं बल्कि ख़ास ईमान की अलामत है कि दिल में ईमान न होता तो उसे बुरा क्यों जानता।

मसअ्ला :– मुरतद होने की चन्द शर्तें हैं **1.अक़्ल** नासमझ बच्चा और पागल से ऐसी बात निकली तो हुक्मे कुफ़्र नहीं **2.होश** अगर नशा में बका तो काफ़िर न हुआ **3.इख़्तियार** मजबूरी और इकराह की सूरत में हुक्मे कुफ़्र नहीं मजबूरी के यह मअ्ना हैं कि जान जाने या अज़्व कटने या ज़र्बे शदीद (सख़्त मार) का सहीह अन्देशा हो इस सूरत में सिर्फ़ ज़बान से उस कलिमा के कहने की इजाज़त है बशर्ते कि दिल में वही इत्मिनाने ईमानीहो إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ

मसअ्ला :– जो शख़्स मआज़ल्लाह मुरतद हो गया तो मुस्तहब है कि हाकिमे इस्लाम उस पर इस्लाम पेश करे और अगर वह कुछ शुबह बयान करे तो उस का जवाब दे और अगर मोहलत माँगे तो तीन दिन क़ैद में रखे और हर रोज़ इस्लाम की तलक़ीन करे यूँहीं अगर उस ने मोहलत न माँगी मगर उम्मीद है कि इस्लाम कबूल करेगा जब भी तीन दिन क़ैद में रखा जाये फिर अगर मुसलमान हो जाये फ़बिहा वरना क़त्ल कर दिया जाये बग़ैर इस्लाम पेश किए उसे क़त्ल कर डालना मकरूह है (दुर्रे मुख़्तार)मुरतद को क़ैद करना और इस्लाम न कबूल करने पर क़त्ल कर डालना बादशाहे इस्लाम का काम है और उस से मक़सूद यह है कि ऐसा शख़्स अगर ज़िन्दा रहा और उस से तआर्रुज़ न किया गया तो मुल्क में तरह तरह के फ़साद पैदा होंगे और फ़ितना का सिलसिला रोज़ बरोज़ तरक़्क़ी पज़ीर होगा जिस की वजह से अमन आम्मा में ख़लल पड़ेगा लिहाज़ा ऐसे शख़्स को ख़त्म कर देना ही मुक़तज़ाए हिकमत था अब चूँकि हुकूमते इस्लाम हिन्दुस्तान में बाक़ी नहीं कोई रोक थाम करने वाला बाक़ी न रहा हर शख़्स जो चाहता है बकता है और आये दिन मुसलमानों में फ़साद पैदा होता है नये नये मज़हब पैदा होते रहते हैं एक ख़ान्दान बल्कि बाज़ जगह एक घर में

कई मज़हब हैं और बात बात पर झगड़े लड़ाई हैं उन तमाम ख़राबियों का बाइस यही नया मज़हब है ऐसी सूरत में सब से बेहतर तरकीब वह है जो ऐसे वक़्त के लिए क़ुर्आन व हदीस में इरशाद हुई अगर मुसलमान उस पर अमल करें तमाम फ़ित्नों से नजात पायें दुनिया व आख़िरत की भलाई हाथ आये वह यह है कि ऐसे लोगों से बिल्कुल मेल जोल छोड़दें सलाम कलाम तर्क करदें उन के पास उठना बैठना उन के साथ खाना पीना उन के यहाँ शादी ब्याह करना ग़र्ज़ हर क़िस्म के तअल्लुक़ात उन से कतअ् कर दें गोया समझें कि वह अब रहा ही नहीं वल्लाहुलमूफ़िक़।

मसअला :– किसी दीने बातिल को इख़्तियार किया मसलन यहूदी या नसरानी हो गया ऐसा शख़्स मुसलमान उस वक़्त होगा कि उस दीने बातिल से बेज़ारी व नफ़रत ज़ाहिर करे और दीने इस्लाम क़बूल करे और अगर जरूरियाते दीन में से किसी बात का इन्कार किया हो तो जब तक उस का इक़रार न करे जिस से इन्कार किया है महज़ कलिमा शहादत पढ़ने पर उस के इस्लाम का हुक्म न दिया जायेगा कि कलिमा शहादत का उस ने बज़ाहिर इन्कार न किया था मसलन नमाज़ या रोज़ा की फ़रज़ियत से इन्कार करे या शराब और सुअर की हुरमत न माने तो उस के इस्लाम के लिए यह शर्त है कि जब तक ख़ास इस अम्र का इक़रार न करे उस का इस्लाम क़बूल नहीं या अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जनाब में गुस्ताख़ी करने से काफ़िर हुआ तो जब तक उस से तौबा न करे मुसलमान नहीं हो सकता (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– औरत या नाबालिग़ समझदार बच्चा मुरतद हो जाये तो क़त्ल न करेंगे बल्कि क़ैद करेंगे यहाँ तक कि तौबा करे और मुसलमान हो जाये (आलमगीरी)

मसअला :– मुरतद अगर इरतिदाद से तौबा करे तो उस की तौबा मक़बूल है मगर बाज़ मुरतद्दीन मसलन किसी नबी की शान में गुस्ताख़ानी करने वाला कि उस की तौबा मक़बूल नहीं। तौबा क़बूल करने से मुराद यह है कि तौबा करने के बाद बादशाहे इस्लाम उसे क़त्ल न करेगा।

मसअला :– मुरतद अगर अपने इरतिदाद से इन्कार करे तो यह इन्कार बमन्ज़िला तौबा है अगर्चे गवाहाने आदिल से इसका इरतिदाद साबित हो यानी उस सूरत में यह क़रार दिया जायेगा कि इरतिदाद तो किया गया मगर अब तौबा करली लिहाज़ा क़त्ल न किया जायेगा और इरतिदाद के बाक़ी अहकाम जारी होंगे मसलन उस की औरत निकाह से निकल जायेगी जो कुछ अअ्माल किए थे सब अकारत हो जायेंगे हज की इस्तिताअत रखता है तो अब फिर हज फ़र्ज़ है कि पहला हज जो कर चुका था बेकार होगया (दुर्रे मुख़्तार, बहरुर्राइक़)

मसअला :– अगर उस क़ौल से इन्कार नहीं करता मगर ला यानी तक़रीरों से उन अम्र को सहीह बताता है जैसा ज़माना–ए–हाल के मुरतद्दीन का शेवा है तो यह न इन्कार है न तौबा मसलन क़ादियानी कि नुबुव्वत का दअ्वा करता है और ख़ातिमुन्नबीईन के ग़लत मअ्ना बयान कर के अपनी नुबुव्वत को बरक़रार रखना चाहता है या हज़रत सय्यदिना मसीह ईसा अलैहिस्सलातु वस्सना की शाने पाक में सख़्त सख़्त हमले करता है फिर हीले गढ़ता है या बाज़ अमाइदे वहाबिया (वहाबियों के लीडर)कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शाने रफ़ीअ् में कलिमाते दुश्नाम (गाली के अल्फ़ाज़)इस्तिअ्माल करते और तावीले ग़ैर मक़बूल कर के अपने ऊपर से कुफ़्र उठाना चाहते हैं ऐसी बातों से कुफ़्र नहीं हट सकता कुफ़्र उठाने का जो निहायत आसान तरीक़ा है काश

उसे बरतते तो उन ज़हमतों में न पड़ते और अज़ाबे आख़िरत से भी इन्शाअल्लाह रिहाई की सूरत निकलती वह सिर्फ़ तौबा है कि कुफ़ व शिर्क सब को मिटा देती है मगर उस में वह अपनी ज़िल्लत समझते हैं हालाँकि यह ख़ुदा को महबूब उन के महबूबों को पसन्द अल्लाह वालों के नज़दीक इस में इज़्ज़त।

मसअ्ला :– ज़माना–ए–इस्लाम में कुछ इबादत क़ज़ा हो गई और अदा करने से पहले मुरतद हो गया फिर मुसलमान हुआ तो उन इबादत की क़ज़ा करे और जो अदा कर चुका था अगर्चे इर्तिदाद से बातिल हो गई मगर उस की क़ज़ा नहीं अल्बत्ता अगर साहिबे इस्तिताआत हो तो हज दोबारा फ़र्ज़ होगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर कुफ़्रे क़तई हो तो औरत निकाह से निकल जायेगी फिर इस्लाम लाने के बाद अगर औरत राज़ी हो तो दोबारा इस से निकाह हो सकता है वरना जहाँ पसन्द करे निकाह कर सकती है उस का कोई हक़ नहीं कि औरत को दूसरे के साथ निकाह करने से रोक दे और अगर इस्लाम लाने के बाद औरत को बदस्तूर रख लिया दोबारा निकाह न किया तो क़ुर्बत ज़िना होगी और बच्चे वलदुज़्ज़िना और अगर कुफ़्र क़तई न हो यानी बाज़ उलमा काफ़िर बताते हों और बाज़ नहीं यानी फ़ुकहा के नज़दीक काफ़िर हो और मुतकल्लिमीन के नज़दीक नहीं तो इस सूरत में भी तजदीदे इस्लाम व तजदीदे निकाह का हुक्म दिया जायेगा। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– औरत को ख़बर मिली कि उस का शौहर मुरतद हो गया तो इद्दत गुज़ार कर निकाह कर सकती है ख़बर देने वाले दो मर्द हों या एक मर्द और दो औरतें बल्कि एक आदिल की ख़बर काफ़ी है (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– औरत मुरतद होगई फिर इस्लाम लाई तो शौहरे अव्वल से निकाह करने पर मजबूर की जायेगी यह नहीं हो सकता है कि दूसरे से निकाह करे इसी पर फ़तवा है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मुरतद का निकाह बिलइत्तिफ़ाक़ बातिल है वह किसी औरत से निकाह नहीं कर सकता न मुस्लिमा से न काफ़िरा से न मुरतद्दा से न हुर्रा से न कनीज़ से (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुरतद किसी मुआमला में गवाही नहीं दे सकता और किसी का वारिस नहीं हो सकता और ज़माना–ए–इरतिदाद में जो कुछ कमाया है उस में मुरतद का कोई वारिस नहीं(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मुरतद का ज़बीहा (जानवर ज़िबह किया हुआ)मुर्दार है अगर्चे बिस्मिल्लाह कह कर ज़िबह करे यूँही कुत्ते या बाज़ या तीर से जो शिकार किया है वह भी मुर्दार है अगर्चे छोड़ने के वक़्त बिस्मिल्लाह कहली हो (आलमगीरी)

मसअ्ला :– इरतिदाद से मिल्क जाती रहती है यानी जो कुछ उस के इमलाक व अमवाल थे सब उस की मिल्क से ख़ारिज हो गये मगर जब कि फिर इस्लाम लाये और कुफ़्र से तौबा करे तो बदस्तूर मालिक हो जायेगा अगर कुफ़्र ही पर मर गया या दारुलहर्ब को चला गया तो ज़माना–ए–इस्लाम के जो कुछ अमवाल हैं उन से अव्वलन उन दुयून (क़र्ज़ों) को अदा करेंगे जो ज़माना–ए–इस्लाम में उस के ज़िम्मे थे उस से जो बचे वह मुसलमान वुरसा को मिलेगा और ज़माना–ए–इरतिदाद में जो कुछ कमाया है उस से ज़माना–ए–इरतिदाद के दुयून (क़र्ज़ों) अदा करेंगे उस के बाद जो बचे वह फ़ए है (हिदाया वग़ैरहा)

मसअला :– औरत को तलाक़ दी थी वह भी इद्दत ही में थी कि शौहर मुरतद हो कर दारुलहर्ब को चला गया या हालते इरतिदाद में क़त्ल किया गया तो वह औरत वारिस होगी (तबईन)

मसअला :– मुरतद दारुल हर्ब को चला गया या क़ाज़ी ने लिहाक़ यानी दारुलहर्ब में चले जाने का हुक्म दिया तो उस के मुदब्बर और उम्मे वलद आज़ाद होगये और जितने दुयूने मीआदी थे उन की मीआद पूरी हो गई यानी अगर्चे अभी मीआद पूरी होने में कुछ ज़माना बाक़ी हो मगर उस वक़्त वह दैन वाजिबुलअदा हो गये और ज़माना–ए–इस्लाम में जो कुछ वसियत की थी वह सब बातिल है (फ़तहुलक़दीर)

मसअला :– मुरतद हिबा क़बूल कर सकता है कनीज़ को उम्मे वलद कर सकता है यानी उस की लौन्डी को हमल था और ज़माना–ए– इरतिदाद में बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चा के नसब का दअ्वा कर सकता है कह सकता है कि यह मेरा बच्चा है लिहाज़ा यह बच्चा उस का वारिस होगा और उस की माँ उम्मेवलद हो जायेगी (आलमगीरी)

मसअला : – मुरतद दारुलहर्ब को चला गया फिर मुसलमान होकर वापस आया तो अगर क़ाज़ी ने अभी तक दारुलहर्ब जाने का हुक्म नहीं दिया था तो तमाम अमवाल उस को मिलेंगे और अगर क़ाज़ी हुक्म देचुका था तो जो कुछ वुरसा के पास मौजूद है वह मिलेगा और वुरसा जो कुछ ख़र्च कर चुके या बैअ् वग़ैरा कर के इन्तिक़ाले मिल्क कर चुका उस में से कुछ नहीं मिलेगा(आलमगीरी)

तमबीह :– ज़माना हाल में जो लोग बावुजूद इद्दआएइस्लाम (मुसलमान होने का दअ्वा करने के साथ) कलिमाते कुफ़्र बकते हैं या कुफ़्री अक़ाइद रखते हैं उन के अक़वाल व अफ़आल का बयान हिस्सा अव्वल में गुज़रा यहाँ चन्द दीगर कलिमाते कुफ़्र जो लोगों से सादिर होते हैं बयान किए जाते हैं ताकि उन का भी इल्म हासिल हो और ऐसी बातों से तौबा की जाये और इस्लामी हूदद की मुहाफ़िज़त की जाये।

मसअला :– जिस शख़्स को अपने ईमान में शक हो यानी कहता है कि मुझे अपने मोमिन होने का यक़ीन नहीं या कहता है मालूम नहीं मैं मोमिन हूँ या काफ़िर वह काफ़िर है हाँ अगर उस का मतलब यह हो कि मालूम नहीं मेरा ख़ातिमा ईमान पर होगा या नहीं काफ़िर नहीं जो शख़्स ईमान व कुफ़्र को एक समझे यानी कहता है कि सब ठीक है खुदा को सब पसन्द है वह काफ़िर है यूँहीं जो शख़्स ईमान पर राज़ी नहीं या कुफ़्र पर राज़ी है वह भी काफ़िर है (आलमगीरी)

मसअला :– एक शख़्स गुनाह करता है लोगों ने उसे मनअ् किया तो कहने लगा इस्लाम का काम उसी तरह करना चाहिए यानी जो गुनाह व मअ्सियत को इस्लाम कहता है वह काफ़िर है यूंही किसी ने दूसरे से कहा मैं मुसलमान हूँ उस ने जवाब में कहा तुझ पर भी लअ्नत और तेरे इस्लाम पर भी लअ्नत ऐसा कहने वाला काफ़िर है (आलमगीरी)

मसअला :– अगर यह कहा खुदा मुझे उस काम के लिए हुक्म दे जब भी न करता तो काफ़िर है यूँही एक ने दूसरे से कहा मैं और तुम खुदा के हुक्म के मुवाफ़िक़ काम करें दूसरे ने कहा मैं खुदा का हुक्म नहीं जानता या कहा यहाँ किसी का हुक्म नहीं चलता (आलमगीरी)

मसअला : – कोई शख़्स बीमार नहीं होता या बहुत बूढ़ा है मरता नहीं उस के लिए यह कहना कि उसे अल्लाह मियाँ भूल गये हैं या किसी ज़बान दराज़ आदमी से यह कहना कि खुदा तुम्हारी ज़बान का मुक़ाबिला कर ही नहीं सकता मैं किस तरह करूँ यह कुफ़्र है (खुलासतुल फ़तावा) यूँहीं एक ने दूसरे से कहा अपनी औरत तो क़ाबू में नहीं उस ने कहा औरतों पर खुदा को तो कुदरत है ही नहीं मुझ को कहाँ से होगी।

मसअला :– खुदा के लिए मकान साबित करना कुफ़्र है कि वह मकान से पाक है यह कहना कि

ऊपर ख़ुदा है नीचे तुम यह कलिमा–ए–कुफ़्र है (ख़ानिया)

मसअला :– किसी से कहा गुनाह न कर वरना ख़ुदा तुझे जहन्नम में डालेगा उस ने कहा मैं जहन्नम से नहीं डरता या कहा ख़ुदा के अज़ाब की कुछ परवाह नहीं या एक ने दूसरे से कहा तू ख़ुदा से नहीं डरता उस ने ग़ुस्सा में कहा नहीं या कहा ख़ुदा इस के सिवा क्या कर सकता है कि दोज़ख़ में डालदे या कहा ख़ुदा से डर उस ने कहा ख़ुदा कहाँ है यह सब कुफ़्र के कलिमात हैं (आलमगीरी)

मसअला :– किसी से कहा इन्शाअल्लाह तुम उस काम को करोगे उस ने कहा मैं बग़ैर इन्शाअल्लाह करूँगा या एक ने दूसरे पर ज़ुल्म किया मज़लूम ने कहा ख़ुदा ने यही मुक़द्दर किया था ज़ालिम ने कहा मैं बग़ैर अल्लाह के मुक़द्दर किए करता हूँ यह कुफ़्र है(आलमगीरी)

मसअला :– किसी मिस्कीन ने अपनी मोहताजी को देखकर यह कहा ऐ ख़ुदा फ़लाँ भी तेरा बन्दा है उस को तूने कितनी नेअ्मतें दे रखी हैं और मैं भी तेरा बन्दा हूँ मुझे किस क़द्र रंज व तकलीफ़ देता है आख़िर यह क्या इन्साफ़ है ऐसा कहना कुफ़्र है (आलमगीरी)हदीस में ऐसे ही के लिए फ़रमाया كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَّكُوْنَ كُفْرًا मोहताजी कुफ़्र के क़रीब है कि जब मोहताजी के सबब ऐसे ना मुनासिब कलिमात सादिर हों जो कुफ़्र हैं तो गोया ख़ुद मोहताजी क़रीब बकुफ़्र है।

मसअला :– अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल के नाम की तस्ग़ीर करना कुफ़्र है जैसे किसी का नाम अ़ब्दुल्लाह या अ़ब्दुल ख़ालिक़ या अ़ब्दुर्रहमान हो उसे पुकारने में आख़िर में अलिफ़ वग़ैरा ऐसे हुरूफ़ मिलादें जिस से तस्ग़ीर समझी जाती है (बहरुर्राइक़)

मसअला :– एक शख़्स नमाज़ पढ़ रहा है उस का लड़का बाप को तलाश कर रहा था किसी ने कहा चुप रह तेरा बाप अल्लाह अल्लाह करता है यह कहना कुफ़्र नहीं क्योंकि उस के मअ्ना यह है कि ख़ुदा की याद कर रहा है (आलमगीरी)और बाज़ जाहिल यह कहते हैं कि ला इलाह पढ़ता है यह बहुत क़बीह है कि यह नफ़ी महज़ है जिस का मतलब यह हुआ कि कोई ख़ुदा नहीं और यह मअ्ना कुफ़्र हैं।

मसअला :– अम्बिया अ़लैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तौहीन करना उन की जनाब में गुस्ताख़ी करना या उन को फ़वाहिश, व बेहयाई की तरफ़ मन्सूब करना कुफ़्र है मसलन मआज़ल्लाह यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम को ज़िना की तरफ़ निस्बत करना।

मसअला :– जो शख़्स हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को आख़िरी नबी न जाने या हुज़ूर की किसी चीज़ की तौहीन करे या अ़ैब लगाये आपके मुए मुबारक को तहक़ीर से याद करे आप के लिबास मुबारक को गन्दा और मैला बताये हुज़ूर के नाख़ून बड़े बड़े कहे यह सब कुफ़्र है बल्कि अगर किसी के उस कहने पर कि हुज़ूर को कद्दू पसन्द था कोई यह कहे मुझे पसन्द नहीं तो बाज़ उलमा के नज़दीक काफ़िर है और हक़ीक़त यह है कि अगर इस हैसियत से उसे नापसन्द है कि हुज़ूर को पसन्द था तो काफ़िर है यूँहीं किसी ने यह कहा कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम खाना तनावुल फ़रमाने के बाद तीन बार अंगुश्तहाए (उँगलियाँ)मुबारक चाट लिया करते थे उस पर किसी ने कहा यह अदब के ख़िलाफ़ है या किसी सुन्नत की तहक़ीर करे मसलन दाढ़ी बढ़ाना मूँछें कम करना अ़मामा बाँधना या शिमला लटकाना उन की इहानत (तौहीन)कुफ़्र है जब कि सुन्नत की तौहीन मक़सूद हो।

मसअला :– अब जो अपने को कहे मैं पैग़म्बर हूँ और उसका मतलब यह बताए कि मैं पैग़ाम पहुँचाता हूँ वह काफ़िर है यानी यह तावील मसमूअ़ नहीं कि उर्फ़ में यह लफ़्ज़ रसूल व नबी के मअ्ना में है (आलमगीरी)

मसअला :– हजराते शैख़ैन रदियल्लाहु तआला अन्हुमा की शाने पाक में सब्ब व शितम (गाली)करना तबर्रा कहना या हजरत सिद्दीके अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु की सोहबत या इमामत व खिलाफत से इन्कार करना कुफ्र है (आलमगीरी वगैरा)हजरत उम्मुलमोमिनीन सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा की शाने पाक में कजफ जैसी नापाक तोहमत लगाना यकीनन कतअन कुफ्र है।

मसअला :– दुश्मन व मबगूज को देखकर यह कहना मलकुलमौत आगये या कहा उसे वैसा ही दुश्मन जानता हूँ जैसा मलकुल मौत को उस में अगर मलकुलमौत को बुरा कहना है तो कुफ्र है और मौत की नापसन्दीदगी की बिना पर है तो कुफ्र नहीं यूँही जिबरईल या मीकाईल या किसी फरिश्ता को जो शख़्स ऐब लगाये या तौहीन करे काफिर है।

मसअला :– कुर्आन की किसी आयत को ऐब लगाना या उस की तौहीन करना या उस के साथ मसख़रा पन करना कुफ्र है मसलन दाढ़ी मुन्डाने से मनअ् करने पर अकसर दाढ़ी मुन्डे कह देते हैं كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ जिस का यह मतलब बयान करते हैं कि कल्ला साफ़ करो यह कुर्आन मजीद की तहरीफ़ व तबदील भी है और उस के साथ मज़ाक़ और दिल लगी भी और यह दोनों बातें कुफ्र उसी तरह अकसर बातों में कुर्आन मजीद की आयतें बे मौक़ा पढ़ दिया करते हैं और मक़सूद हँसी करना होता है जैसे किसी को नमाज़े जमाअत के लिए बुलाया वह कहने लगा मैं जमाअत से नहीं बल्कि तनहा पढूँगा क्योंकि अल्लाह तआला फ़रमाता है اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى

मसअला :– मज़ामीर के साथ कुर्आन पढ़ना कुफ्र है गिरामों फोन में कुर्आन सुनना मनअ् है अगर्चे यह बाजा नहीं बल्कि रिकार्ड में जिस क़िस्म की आवाज़ भरी होती है वही उस से निकलती है अगर बाजे की आवाज़ भरी जाये तो बाजे को आवाज़ सुनने में आयेगी और नहीं तो नहीं मगर गिरामोफ़ोन उमूमन लहव लअिब की मजालिस में बजाया जाता है और ऐसी जगह कुर्आन मजीद पढ़ना सख़्त ममनूअ् है।

मसअला :–किसी से नमाज़ पढ़ने को कहा उस ने जवाब दिया नमाज़ पढ़ता तो हूँ मगर उस का कुछ नतीजा नहीं, या कहा तुम ने नमाज़ पढ़ी क्या फ़ाइदा हुआ, या कहा नमाज़ पढ़ के क्या करूँ, किस के लिए पढ़ूँ, माँ बाप तो मरगये या कहा बहुत पढ़ ली अब दिल घबरा गया, या कहा पढ़ना न पढ़ना दोनों बराबर हैं ग़र्ज़ उसी किस्म की बात करना जिस से फ़र्ज़ियत का इन्कार समझा जाता हो या नमाज़ की तहक़ीर होती हो यह सब कुफ्र हैं।

मसअला :– कोई शख़्स सिर्फ़ रमज़ान में नमाज़ पढ़ता है बाद में नहीं पढ़ता और कहता यह है कि यही बहुत है या जितनी पढ़ी यही ज़्यादा है क्योंकि रमज़ान में एक नमाज़ सत्तर नमाज़ के बराबर है ऐसा कहना कुफ्र है इस लिए कि उस से नमाज़ की फ़रज़ियत का इन्कार मालूम होता है।

मसअला :– अज़ान की आवाज़ सुन कर यह कहना क्या शोर मचा रखा है अगर यह कौल बर वजह इन्कार हो कुफ्र (आलमगीरी)

मसअला :– रोज़ाए रमज़ान नहीं रखता और कहता यह है कि रोज़ा वह रखे जिसे खाना न मिले या कहता है जब ख़ुदा ने खाने को दिया है तो भूके क्यों मरें या इसी क़िस्म की और बातें जिन से रोज़ा की हतक व तहक़ीर(तौहीन)हो कहना कुफ्र है।

मसअला :– इल्मे दीन और उ़लमा की तौहीन बे सबब यानी महज़ इस वजह से कि आलिमे इल्मे दीन है कुफ्र है यूँही आलिमे दीन की नक़ल करना मसलन किसी को मिम्बर वग़ैरा किसी ऊँची जगह पर बैठायें और उस से मसाइल बतौर इस्तिहज़ा(हँसी मज़ाक के तौर पर)दरयाफ़्त करें फिर उसे तकिया वग़ैरा से मारें और मज़ाक बनाये यह कुफ्र है (आलमगीरी)

मसअला :– यूँहीं शरअ् की तौहीन करना मसलन कहे मैं शरअ् वरअ नहीं जानता या आलिमेदीन मोहतात

का फतवा पेश किया गया उस ने कहा फतवा नहीं मानता या फतवा को जमीन पर पटक दिया।

मसअला – किसी शख्स को शरीअत का हुक्म बताया कि उस मुआमला में यह हुक्म है उस ने कहा हम शरीअत पर अमल नही करेंगे हम तो रस्म की पाबन्दी करेंगे ऐसा कहना बाज मशाइख के नज्दीक कुफ्र है (आलमगीरी)

मसअला – शराब पीते वक्त या जिना करते वक्त या जुआ खेलते वक्त या चोरी करते वक्त बिस्मिल्लाह कहना कुफ्र है दो शख्स झगड रहे थे एक ने कहा ला हवला व ला कुव्वत इल्ला बिल्लाहि दूसरे ने कहा ला हव्ला का क्या काम है या ला हव्ला को मैं क्या करूँ या ला हव्ल रोटी की जगह काम न देगा यूँहीं सुबहानल्लाह और लाइलाह इल्लल्लाह के मुतअल्लिक उसी किस्म के अल्फाज कहना कुफ्र है (आलमगीरी)

मसअला – बीमारी में घबराकर कहने लगा तुझे इख्तियार है चाहे काफिर मार या मुसलमान मार यह कुफ्र है यूँहीं मसाइब (मुसीबतों) में मुब्तला हो कर कहने लगा तूने मेरा माल लिया और औलाद ले ली और यह लिया वह लिया अब क्या करेगा और क्या बाकी है जो तूने न किया इस तरह बकना कुफ्र है।

मसअला – मुसलमान को कलिमाते कुफ्र की तअ्लीम व तलकीन करना कुफ्र है अगर्चे खेल और मज़ाक में ऐसा करे यूँहीं किसी की औरत को कुफ्र की तअ्लीम की और यह कहा तू काफिर हो जा ताकि शौहर से पीछा छूटे तो औरत कुफ्र करे या न करे यह कहने वाला काफिर हो गया (खानिया)

मसअला – होली और दीवाली पूजना कुफ्र है कि यह इबादते गैरुल्लाह है कुफ्फार के मेलों त्योहारों में शरीक हो कर उन के मेले और जुलूसे मज़हबी की शान व शौकत बढ़ाना कुफ्र है जैसे राम लीला और जन्म अष्टमी और राम नवमी वगैरा के मेलों में शरीक होना यूँहीं उन के त्योहारों के दिन महज इस वजह से चीजें खरीदना कि कुफ्फार का त्योहार है यह भी कुफ्र है जैसे दीवाली में खिलौने और मिठाईयाँ खरीदी जाती हैं कि आज खरीदना दीवाली मनाने के सिवा कुछ नहीं यूँहीं कोई चीज़ खरीद कर उस रोज मुश्रिकीन के पास हदिया करना जब कि मकसूद उस दिन की तअ्ज़ीम हो तो कुफ्र है (बहरुर्राइक)मुसलमानों पर अपने दीन व मज़हब का तहफ्फुज़ लाज़िम है दीनी हमीयत और दीनी गैरत से काम लेना चाहिए काफिरों के कुफरी कामों से अलग रहें मगर अफसोस कि मुश्रिकीन तो मुसलमानो से इज्तिनाब करें और मुसलमान हैं कि उन से इख़्तिलात रखते हैं उस में सरासर मुसलमानों का नुकसान है इस्लाम खुदा की बड़ी नेअ्मत है उस की कद्र करो और जिस बात में ईमान का नुकसान है उस से दूर भागो वरना शैतान गुमराह कर देगा और यह दौलत तुम्हारे हाथ से जाती रहेगी फिर कफे अफसोस मलने के सिवा कुछ हाथ न आयेगा ऐ अल्लाह तू हमें सिरांते मुस्तकीम पर काइम रख और अपनी नाराज़ी के कामों से बचा और जिस बात में तू राज़ी है उस की तौफ़ीक़ दे तू हर दुश्वारी को दूर करने वाला है और हर सख़्ती को आसान करने वाला है।

व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिव व अला आलिही व असहाबिही अजमईन वलहमदु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।

फ़क़ीर अबुलउला मुहम्मद अमजद अली आज़मी उफ़िय अन्हु 12 माह मुबारक रमजानुल खैर हिजरी 1348

हिन्दी तर्जमा

मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

हिजरी 1431

मोबाइल न. 9219132423

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

(اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا)

किताब को पढ़ने से पहले

इस किताब को स्कैन करने वाले

और इस काम मे हिस्सा लेने वालो के हक़ में

दुआ फरमाएं

अल्लाह अज़्ज़वजल हमारे तमाम

सगीरा व क़बीरा गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाये

और ईमान पर इस्तेक़ामत अता फ़रमाये!

आमीन

PDF BY :

WASEEM AHMED RAZA KHAN

AZHARI & TEAM

+91-8109613336

बहारे शरीअ़त

दसवाँ हिस्स़ा

मुस़न्निफ़
सदरूश्शरीअ़ा मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा
मौलाना मुह़म्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर
क़ादरी दारूल इशाअ़त
मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली–53
Mob:--9312106346

नाम किताब	बहारे शरीअ़त (दसवाँ हिस्सा)
मुसन्निफ़	सदरुश्शरीअ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमह
हिन्दी तर्जमा	मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी
कम्प्यूटर कम्पोज़िंग	मौलाना मुहम्मद शफ़ीकुल हक़ रज़वी
क़ीमत जिल्द अव्वल	500/
ता़दाद	1000
इशाअ़त	2010 ई.

मिलने के पते :

1. मकतबा नईमिया ,मटिया महल, दिल्ली।
2. फ़ारुक़िया बुक डिपो ,मटिया महल ,दिल्ली।
3. नाज़ बुक डिपो ,मोहम्मद अ़ली रोड़ मुम्बई
4. अलकुरआन कम्पनी ,कमानी गेट,अजमेर।
5. चिश्तिया बुक डिपो दरगाह शरीफ़ अजमेर।
6. क़ादरी दारुल इशाअ़त, 523 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली। 9312106346
7. मकतबा रहमानिया रज़विया दरगाह आ़ला हज़रत बरेली शरीफ़

फ़ेहरिस्त

अर्ज़े मुतर्जिम

ज़ेरे नज़र किताब बहारे शरीअत उर्दू ज़बान में बहुत मशहूर व मअ्रूफ़ किताब है हिन्दी ज़बान में अभी तक फ़िक़्ही मसाइल पर इतनी ज़ख़ीम किताब मन्ज़रे आम पर नहीं आई काफ़ी अर्से से ख़्वाहिश थी कि बहारे शरीअत मुकम्मल हिन्दी में तर्जमा की जाये ताकि हिन्दी दाँ हज़रत को फ़िक़्ही मसाइल पर पढ़ने के लिए तफ़्सीली किताब दस्तयाब हो सके।

मैंने इस किताब का तर्जमा करने में ख़ालिस हिन्दी अलफ़ाज़ का इस्तेमाल नहीं किया उस की वजह यह कि आज भी हिन्दुस्तान में आम बोलचाल की ज़बान उर्दू है अगर हिन्दी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता तो किताब और ज़्यादा मुश्किल हो जाती इसी लिए किताब के मुश्किल अलफ़ाज़ को आसान उर्दू में हिन्दी लिपि में लिखा गया है।

बहारे शरीअत उर्दू में बीस हिस्से तीन या चार जिल्दों में दस्तेयाब हैं अगर इस किताब का अच्छी तरह से मुताला कर लिया जाये तो मोमिन को अपनी जिन्दगी में पेश आने वाले तक़रीबान तमाम मसाइल की जानकारी हासिल हो सकती है। इस किताब में अ़क़ाइद मुआ़मलात तहारत, नमाज़, रोजा ,हज, ज़कात, निकाह, तलाक़, ख़रीद ,फ़रोख़्त ,अख़लाक़,ग़रज़ कि ज़रूरत के तमाम मसाइल का बयान है।

काफ़ी अर्से से तमन्ना थी कि मुकम्मल बहारे शरीअ़त हिन्दी में पेश की जाये ताकि हिन्दी दाँ हज़रात इस से फ़ायादा हासिल कर सकें बहारे शरीअ़त की बीस हिस्सों की कम्पोज़िंग मुकम्मल हो चुकी है जिस को दो जिल्दो में पेश करने का इरादा है।

कुछ मजबूरियों की वजह से दस हिस्सों की एक जिल्द पेश की जारही है कुछ ही वक़्त के बाद बाक़ी दस हिस्सों की दूसरी जिल्द आप के सामने होगी यह हिन्दी में फ़िक़्ही मसाइल पर सब से ज़्यादा तफ़सीली किताब होगी कोशिश यह की गई है कि ग़लतियों से पाक किताब हो और मसाइल भी न बदल पाये अभी तक मार्केट में फ़िक़्ह के बारे में पाई जाने वाली हिन्दी की अकसर किताबों में मसाइल भी बदल गये हैं और उन के अनुवादकों को इस बात का एहसास तक न हो सका यह उन के दीनी तालीम से वाक़िफ़ न होने की वजह है। मगर शौक़ उनका यह है कि दीनी किताबों को हिन्दी में लायें उनको मेरा मश्वरा यह है कि अपना यह शौक़ पूरा करने के लिए बाक़ाएदा मदर्से में दीनी तालीम हासिल करें और किसी आ़लिमे दीन की शागिर्दी इख़्तेयार करें ताकि हिन्दी में सही तौर पर किताबें छापने का शौक़ पूरा हो सके।

फिर भी मुझे अपनी कम इल्मी का एहसास है। कारेईन किताब में किसी भी तरह की ग़लती पायें तो ख़ादिम को ज़रूर इत्तेलाअ़ करें ताकि अगले एडीशन में सुधार कर लिया जाये किताब को आसान करने की काफ़ी कोशिश की गई है फिर भी अगर कहीं मसअ्ला समझ में न आये तो किसी सुन्नी सहीहुल अ़क़ीदा आलिमे दीन से समझलें ताकि दीन का सही इल्म हासिल हो सके किताब का मुतालआ़ करने के दौरान उ़लमा से राब्ता रखें वक़्तन फ़ वक़्तन किताब में पेश आने वाले मसाइल को समझते रहें।

अल्लाह तआ़ला की बारगाह में दुआ है कि वह अपने हबीबे अकरम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम के सदक़े में इस किताब के ज़रीए कारेईन को भरपूर फ़ायदा अ़ता फ़रमाये और इस तर्जमे को मक़बूल व मशहूर फ़रमाये और मुझ ख़ताकार व गुनाहगार के लिए बख़्शिश का ज़रीआ बनाये आमीन!

ख़ादिमुल उ़लमा

मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

30 सितम्बर सन.2010

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ
نَحۡمَدُہٗ وَ نُصَلِّی عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ

लक़ीत़ का बयान

इमाम मालिक ने अबू जमीला रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की उन्होंने ह़ज़रते उ़मर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के ज़माने में एक पड़ा हुआ बच्चा पाया कहते हैं मैं उसे उठा लाया और ह़ज़रत उ़मर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के पास ले गया उन्होंने फ़रमाया इसे क्यों उठाया जवाब दिया कि मैं न उठाता तो ज़ाइअ़ हो जाता फिर उन की क़ौम के सरदार ने कहा ऐ अमीरुलमोमिनीन यह मर्द सा़लेह़ (नेक)है या़नी यह ग़लत़ नहीं कहता फ़रमाया इसे ले जाओ यह आज़ाद है इस का नफ़क़ा हमारे ज़िम्मे है या़नी बैतुलमाल से दिया जायेगा सईद इब्ने मुसय्यब कहते हैं कि ह़ज़रते उ़मर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के पास लक़ीत़ लाया जाता तो उस के मुनासिब ह़ाल कुछ मुक़र्रर फ़रमादेते कि उसका वली (मुलक़ित) माह बा माह लेजाया करे और उस के मुतअ़ल्लिक़ भलाई करने की वसियत फ़रमाते और उस की रज़ाअ़त के मसा़रिफ़ और दीगर अख़राजात बैतुल माल से मुक़र्रर करते तमीम रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने एक लक़ीत़ पाया उसे ह़ज़रत अ़ली रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के पास लाये उन्होंने उसे अपने ज़िम्मे लिया इमाम मुह़म्मद रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने ह़सन बस़री रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि एक शख़्स़ ने लक़ीत़ पाया उसे ह़ज़रते अ़ली रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के पास लाया उन्होंने फ़रमाया यह आज़ाद है और अगर मैं उस का मुतवल्ली होता या़नी मैं उठाने वाला होता तो मुझे फ़ुलाँ फ़ुलाँ चीज़ से यह ज़्यादा मह़बूब होता उ़र्फ़ शरअ़ में लक़ीत़ उस बच्चे को कहते हैं जिस को उस के घरवाले ने अपनी तंगदस्ती या बदनामी के ख़ौफ़ से फेंकदिया हो।

मसअ्ला :– जिस को ऐसा बच्चा मिले और मालूम हो कि न उठा लाये तो ज़ाइअ़ व हलाक हो जायेगा तो उठा लाना फ़र्ज़ है और हलाकत का ग़ालिब गुमान न हो तो मुस्तह़ब (हिदाया)

मसअ्ला :– लक़ीत़ आज़ाद है उस पर तमाम अह़काम वही जारी होंगे जो आज़ाद के लिए हैं अगर्चे उस का उठालाने वाला ग़ुलाम हो हाँ अगर गवाहों से कोई शख़्स़ उसे अपना ग़ुलाम साबित करदे तो ग़ुलाम होगा। (हिदाया, फ़तह)

मसअ्ला :– एक मुसलमान और एक काफ़िर दोनों ने पड़ा हुआ बच्चा पाया और हर एक उस को अपने पास रखना चाहता है तो मुसलमान को दिया जाये (फ़तह)

मसअ्ला :– लक़ीत़ की निस्बत किसी ने यह दअ़्वा किया कि यह मेरा लड़ाका है तो उसी कालड़का क़रार दिया जाये और अगर कोई शख़्स़ उसे अपना ग़ुलाम बताये तो जब तक ग़वाहों से साबित न करदे ग़ुलाम क़रार न दिया जाये (हिदाया)

मसअ्ला :– एक के दअ़्वा करने के बा़द दूसरा शख़्स़ दअ़्वा करता है तो वह पहले ही का लड़का हो चुका दूसरे का दअ़्वा बात़िल है हाँ अगर दूसरा शख़्स़ गवाहों से अपना दअ़्वा साबित कर दे तो उस का नसब साबित हो जायेगा दो शख़्सों ने बयक वक़्त उस के मुतअ़ल्लिक़ दअ़्वा किया और

उन में एक ने उस के जिस्म का कोई निशान बताया और दूसरे ने नहीं तो जिस ने निशानी बताई उसी का है मगर जब कि दूसरा गवाहों से साबित कर दे कि मेरा लड़का है तो यही मुस्तहक़ होगा और अगर दोनों कोई अलामत बयान न करें न गवाहों से साबित करें या दोनों गवाह क़ाइम करें तो लक़ीत दोनों में मुश्तरक क़रार दिया जाये और अगर एक ने कहा लड़का है दूसरा कहता है लड़की तो जो सहीह कहता है उसी का है मजहूलुन्नसब भी इस हुक्म में लक़ीत की मिस्ल है यानी दअ्वा-ए-नसब में जो हुक्म लक़ीत का है वही उस का है (हिदाया वग़ैरहा)

मसअ्ला :– लक़ीत की निस्बत दो शख़्सों ने दअ्वा किया कि यह मेरा लड़का है उन में एकमुसलमान है एक काफ़िर तो मुसलमान का लड़का क़रार दिया जाये यूँही अगर एक आज़ाद है और एक ग़ुलाम तो आज़ाद का लड़का क़रार दिया जाये (हिदाया)

मसअ्ला :– ख़ाविन्द वाली औरत लक़ीत की निस्बत दअ्वा करे कि यह मेरा बच्चा है और उस के शौहर ने तस्दीक़ की या दाई ने शहादत दी या दो मर्द या एक मर्द और दो औरतों ने विलादत पर गवाही दी तो उसी का बच्चा है और अगर यह बातें हों तो औरत का क़ौल मक़बूल नहीं और बे शौहर वाली औरत ने दअ्वा किया तो दो मर्दों की शहातद से उन का बच्चा क़रार पायेगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– लक़ीत(यानी उठालाने वाले)से लक़ीत को जबरन कोई नहीं ले सकता क़ाज़ी व बादशाह को भी इस का हक़ नहीं हाँ अगर कोई सबब ख़ास हो तो लिया जा जा सकता है मसलन उस में बच्चे की निगेहदाश्त की सलाहियत न हो या मुलतक़ित (जिसे लक़ीत मिला) फ़ासिक़ फ़ाजिर शख़्स है अन्देशा है कि उस के साथ बदकारी करेगा ऐसी सूरतों में बच्चे को उस से जुदा कर लिया जाये (हिदाया फ़तहुलक़दीर)

मसअ्ला :– मुलतक़ित की रज़ा मन्दी से क़ाज़ी ने लक़ीत को दूसरे शख़्स की तरबियत में देदियाफिर उस के बाद मुलतक़ित वापस लेना चाहता है तो जब तक यह शख़्स राज़ी न हो वापस नहीं ले सकता (ख़ुलासतुल फ़तावा)

मसअ्ला :– लक़ीत के जुमला अख़राजात खाना कपड़ा रहने का मकान बीमारी में दवा यह सब बैतुलमाल के ज़िम्मा है और लक़ीत मरजाये और कोई वारिस न हो तो मीरास भी बैतुलमाल में जायेगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– एक शख़्स एक बच्चा को क़ाज़ी के पास पेश कर के कहता है यह लक़ीत है मैंने एक जगह पड़ा पाया है तो हो सकता है कि महज़ उस के कहने से क़ाज़ी तस्दीक़ न करे बल्कि गवाह माँगे इस लिए कि मुमकिन हो ख़ुद उसी का बच्चा हो और लक़ीत इस ग़र्ज़ से बताता है कि मसारिफ़ बैतुलमाल से वुसूल करे और यह सुबूत बहम पहुँच जाने के बाद कि लक़ीत है नफ़्क़ा वग़ैरा बैतुलमाल से मुक़र्रर कर दिया जाये (आलमगीरी)

मसअ्ला :– लक़ीत के हमराह कुछ माल है या लक़ीत किसी जानवर पर मिला और उस जानवर पर कुछ माल भी है माल लक़ीत का है लिहाज़ा यह माल लक़ीत पर सर्फ़ किया जाये मगर सर्फ़ करने के लिए क़ाज़ी से इजाज़त लेनी पड़ेगी और वह माल अगर लक़ीत के हमराह नहीं बल्कि क़रीब में है तो लक़ीत का नहीं बल्कि लुक़्ता है जिस का बयान आगे आता है (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– मुलतक़ित ने बग़ैर हुक्मे क़ाज़ी जो कुछ लक़ीत पर ख़र्च किया उस का कोई मुआविज़ा

नहीं पा सकता और काज़ी ने हुक्म दे दिया हो कि जो कुछ ख़र्च करेगा वह दैन होगा और उस का मुआविज़ा मिलेगा अगर लकीत का कोई बाप ज़ाहिर हुआ तो उस को देना पड़ेगा वरना बालिग़ होने के बाद लकीत देगा (फ़तह, आलमगीरी)

मसअला :– लकीत पर ख़र्च करने की विलायात मुलतकित को है और खाने पीने लिबास वग़ैराज़रूरी अशया ख़रीदने की ज़रूरत हो तो उस का वली भी मुलतकित है लकीत की कोई चीज़ बैअ़ नहीं कर सकता न कोई चीज़ बे ज़रूरत उधार ख़रीद सकता है (हिदाया, फ़तहुल क़दीर)

मसअला :– लकीत को किसी ने कोई चीज़ हिबा की या सदक़ा किया तो मुलतकित को कबूलकरने का हक है क्योंकि यह तो निरा फ़ायदा है उस में नुकसान असलन नहीं (हिदाया, फ़तह)

मसअला :– लकीत को इल्मे दीन की तअ़लीम दिलायें और इल्म हासिल करने की सलाहियत उस में नज़र न आये तो काम सिखाने के लिए सनअ़त व हिरफ़त (कारीगरी)के उस्तादों के पास भेजदें ताकि काम सीख कर होशियार हो और काम का आदमी बने वरना बेकारी में निकम्मा हो जायेगा(रद्दुल मुहतार वग़ैरा)

मसअला :– मुलतकित को यह इख़्तियार नहीं कि लकीत का निकाह कर दे और असह यह है कि उसे इजारा पर भी नहीं दे सकता। (हिदाया)

मसअला :– लकीत अगर समझदार होने से पहले मरजाये तो उस के जनाज़े की नमाज़ पढ़ी जायेगी उस को मुसलमान उठा लाया हो या काफ़िर (खुलासा)हाँ अगर काफ़िर ने उसे ऐसी जगह पाया है जो ख़ास काफ़िरों की जगह है मसलन बुत ख़ाना में तो उस के जनाज़े की नमाज़ न पढ़ी जाये। (फ़त्ह)

लुक़ता का बयान

हदीस न.1 :– सहीह मुस्लिम शरीफ़ व मुस्नद इमाम अहमद में ज़ैद इब्ने ख़ालिद रदियल्लाह तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो शख़्स किसी की गुमशुदा चीज़ को पनाह दे (उठाए) वह ख़ुद गुमराह है अगर तशहीर का इरादा न रखता हो।

हदीस न. 2 :– दारमी ने जारदिद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया मुसलमान की गुमशुदा चीज़ आग का शोअ़ला है यानी उस का उठा लेना सबबे अ़ज़ाब है अगर यह मक़सूद हो कि ख़ुद मालिक बन बैठे।

हदीस न.3 :– बुज़ारद दारे कुतनी ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से लुक़ता के मुतअ़ल्लिक सवाल हुआ और इरशाद फ़रमाया लुक़ता हलाल नहीं और जो शख़्स पड़ा माल उठाये उस की एक साल तक तशहीर करे अगर मालिक आजाये तो उसे देदे और न आये तो सदक़ा कर दे।

हदीस न.4 :– इमाम अहमद व अबू दाऊद व दारमी अयाज़ इब्ने हिमार रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो शख़्स पड़ी हुई चीज़ पाये तो एक या दो आदिल को उठाते वक़्त गवाह करले और उसे न छुपाये और न ग़ाइब करे फिर अगर मालिक मिल जाये तो उसे देदे वरना अल्लाह का माल है वह जिस को चाहता है देता है इस हदीस में गवाह कर लेने का हुक्म इस मसलिहत से है कि जब लोगों के इल्म में होगा तो अब उस का नफ़्स यह तमअ़ नहीं कर सकता कि मैं इसे हज़म कर जाऊँ और मालिक को न दूँ और अगर उस का अचानक इन्तिकाल हो जाये यानी वुरसा से न कह सका कि यह लुक़ता है तो चूँकि लोगों

को लुक्ता होना मालूम है तरका में शुमार नहीं होगी और यह भी फ़ाइदा है कि मालिक उस से यह मुतालबा नहीं कर सकता कि यह चीज़ इतनी ही न थी बल्कि उस से ज़्यादा थी

हदीस़ न.5 :– अबू दाऊद ने अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि अ़ली इब्ने अबी त़ालिब रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने एक मरतबा दीनार पाया उसे फ़ातमा ज़हरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हा के पास लाये और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से दरयाफ़्त किया(यानी उस वक़्त इन को ज़रूरत थी यह पूछा कि सर्फ़ कर सकता हूँ या नहीं)इरशाद फ़रमाया यह अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने भी उस से खाया और अ़ली व फ़ातिमा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा ने भी खाया फिर एक औ़रत दीनार ढूँडती आई हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया ऐ अ़ली वह दीनार उसे देदो।

हदीस़ न.6 :– सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में ज़ैदइब्ने ख़ालिद रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी एक शख़्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उस ने लुक्ता के मुतअ़ल्लिक़ सवाल किया इरशाद फ़रमाया उस के ज़र्फ़ यानी हथेली और बन्दिश को शनाख़्त कर लो फिर एक साल उस की तशहीर करो अगर मालिक मिलजाये तो देदो वरना तुम जो चाहो करो उस ने दरयाफ़्त किया गुमशुदा बकरी का क्या हुक्म है इरशाद फ़रमाया वह तुम्हारे लिए है या तुम्हारे भाई के लिए या भेड़िए के लिए यानी उसका लेना जाइज़ है कि कोई नहीं लेगा तो भेड़िया ले जायेगा उस ने दरयाफ़्त किया गुमशुदा ऊँट का क्या हुक्म है इरशाद फ़रमाया तुम उसे क्या करोगे उस के साथ उस की मश्क़ और जूता है वह पानी के पास आकर पानी पी लेगा और दरयाफ़्त खाता रहेगा यहाँ तक उस का मालिक पालेगा यानी उस के लेने की इजाज़त नहीं।

हदीस़ न.7 :– अबूदाऊद ने जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की वह कहते हैं हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने अ़सा और कोड़े और रस्सी और इस जैसी चीज़ों को उठाकर उसे काम में लाने की रुख़स़त दी है।

हदीस़ न.8 :– सहीह बुख़ारी शरीफ़ में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी कि रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बनी इसराईल में से एक शख़्स ने दूसरे से एक हज़ार दीनार क़र्ज़ माँगे उस ने कहा गवाह लाओ जिन को गवाह बनालूँ उस ने कहा कफ़ा बिल्लाहि शहीदन अल्लाह की गवाही काफ़ी है उस ने कहा किसी को ज़ामिन लाओ उस ने कहा कफ़ा बिल्लाहि कफ़ीलन अल्लाह की ज़मानत काफ़ी है उस ने कहा तूने सच कहा और एक हज़ार दीनार उसे देदिया और अदा की एक मीआ़द मुक़र्रर कर दी उस शख़्स ने समन्दर का सफ़र किया औरजो काम करना था अन्जाम को पहुँचाया फिर जब मीआ़द पूरी होने का वक़्त आया तो उस ने कश्ती तलाश की कि जाकर उस का दैन अदा करे मगर कोई कश्ती न मिली नाचार उसने एक लकड़ी में सूराख़ कर के हज़ार अशरफ़ियाँ भर दीं और एक ख़त लिख कर उस में रखा और ख़ूब अच्छी त़रह बन्द कर दिया फिर उस लकड़ी को दरिया के पास लाया और यह कहा ऐ अल्लाह तू जानता है कि मैंने फ़ुलाँ शख़्स से क़र्ज़ त़लब किया उस ने कफ़ील माँगा मैंने कहा कफ़ाबिल्लाहि कफ़ीलन वह तेरी कफ़ालत पर राज़ी होगया फिर उस ने गवाह माँगा मैंने कहा कफ़ाबिलल्लाहि

शहीदन वह तेरी गवाही पर राज़ी हो गया और मैंने पूरी कोशिश की कि कोई कश्ती मिल जाये तो उन का दैन पहुँचा दूँ मगर मयस्सर न आई और अब यह अशरफ़ियाँ मैं तुझ को सुपुर्द करता हूँ यह कह कर वह लकड़ी दरिया में फेंकदी और वापस आया मगर बराबर कश्ती तलाश करता रहा कि उस शहर को जाये और दैन अदा करे अब वह शख़्स जिस ने क़र्ज़ दिया था एक दिन दरिया की तरफ़ गया कि शायद किसी कश्ती पर उस का माल आता हो कि दफ़अतन यही लकड़ी मिली जिस में अशरफ़ियाँ भरी थीं उस ने यह ख़याल कर के कि घर में जलाने के काम आयेगी उस को ले लिया जब उस को चीरा तो अशरफ़ियाँ और ख़त मिला फिर कुछ दिनों बाद वह शख़्स जिस ने क़र्ज़ लिया था हज़ार दीनार लेकर आया और कहने लगा ख़ुदा की क़सम मैं बराबर कोशिश करता रहा कि कोई कश्ती मिलजाये तो तुम्हारा माल तुम को पहुँचा दूँ मगर आज से पहले कोई कश्ती न मिली उस ने कहा क्या तुम ने मेरे पास कोई चीज़ भेजी थी उस ने कहा मैं कह तो रहा हूँ कि आज से पहले मुझे कोई कश्ती नहीं मिली उस ने कहा जो कुछ तुम ने लकड़ी में भेजा था ख़ुदा ने उस को तुम्हारी तरफ़ से पहुँचा दिया यह अपनी एक हज़ार अशरफ़ियाँ लेकर बा मुराद वापस हुआ।

मसाइले फ़िक़्हिया

लुक़ता उस माल को कहते हैं जो पड़ा हुआ कहीं मिल जाये

मसअला :– पड़ा हुआ माल कहीं मिला और यह ख़याल हो कि उस के मालिक को तलाश कर के देदूँगा तो उठा लेना मुस्तहब है और अगर अन्देशा हो कि शायद मैं ख़ुद ही रख लूँ और मालिक को न तलाश करूँ तो छोड़ देना बेहतर है और अगर ज़न्ने ग़ालिब हो कि मालिक को न दूँगा तो उठाना नाजाइज़ है और अपने लिए उठाना हराम है और उस सूरत में बमन्ज़िला ग़सब के है और अगर यह ज़न्ने ग़ालिब हो कि मैं न उठाऊँगा तो यह चीज़ ज़ाइअ् व हलाक हो जायेगी तो उठा लेना ज़रूर है लेकिन अगर न उठाये और ज़ाइअ् हो जाये तो उस पर तावान नहीं (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– लुक़ता को अपने तसर्रुफ़ में लाने के लिए उठाया फिर नादिम हुआ कि मुझे ऐसा करना न चाहिए और जहाँ से लाया वहीं रख आया तो बरीयुज़्ज़िम्मा न होगा यानी अगर ज़ाइअ् हो गया तो तावान देना पड़ेगा बल्कि अब उस पर लाज़िम है कि मालिक को तलाश करे और उस के हवाला कर दे और अगर मालिक को देने के लिए लाया था फिर जहाँ से लाया था रख आया तो तावान नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– हर क़िस्म की पड़ी हुई चीज़ उठा लाना जाइज़ है मसलन मताअ् या जानवर बल्कि ऊँट को भी ला सकता है क्योंकि अब ज़माना ख़राब है न लायेगा तो कोई दूसरा लेजायेगा और मालिक को न देगा बल्कि हज़म कर जायेगा (फ़त्ह वग़ैरा)

मसअला :– लुक़ता मुलतक़ित के हाथ में अमानत है यानी तल्फ़ होजाये तो उस पर तावान नहीं बशर्तेकि उठाने वाला उठाने के वक़्त किसी को गवाह बनादे यानी लोगों से कहदे कि अगर कोई शख़्स अपनी गुमी हुई चीज़ तलाश करता आये तो मेरे पास भेजदेना और गवाह न किया तो तल्फ़ होने की सूरत में तावान देना पड़ेगा मगर जब कि वहाँ कोई न हो और गवाह बनाने का मौक़ा न मिला या अन्देशा हो कि गवाह बनाये तो ज़ालिम छीन लेगा तो ज़मान नहीं (तबईईन बहर)

मसअ्ला :– पड़ा माल उठा लाया और उस के पास से जाइअ् हो गया अब मालिक आया और चीज़ का मुतालबा करता है और तावान माँगता है कहता है कि तुम ने बदनियती से अपने सर्फ़ में लाने के लिए उठाया था लिहाज़ा तुम पर तावान है यह जवाब देता है कि मैंने अपने लिए नहीं उठाया था बल्कि इस नियत से लिया था कि मालिक को दूँगा तो महज उस के कहने से जमान सेंकती नहीं जब तक बसूरते इमकान गवाह न करे (हिदाया)
मसअ्ला :– दो शख़्सों ने लुक़ता को उठाया तो दोनों पर तशहीर लाज़िम है और लुक़ता के जमीअ् अहकाम दोनों पर हैं और अगर दोनों जारहे थे एक ने कोई चीज़ देखी उस ने दूसरे से कहा उठा लाओ उस ने अपने लिए उठाई तो यह जिम्मे दार है और लुक़ता के अहकाम उस पर हैं हुक्म देने वाले पर नहीं। (जौहरा)
मसअ्ला :– मुलतक़ित पर तशहीर लाजिम है यानी बाज़ारों और शारेअ् आम और मसाजिद में इतने ज़माने तक एअ्लान करे कि ज़न्ने गालिब हो जाये कि मालिक अब तलाश न करता होगा यह मुद्दत पूरी होने के बाद उसे इख़्तियार है कि लुक़ता की हिफ़ाज़त करे या किसी मिस्कीन पर तसद्दुक़ कर दे मिस्कीन को देने के बाद अगर मालिक आ गया तो उसे इख़्तियार है कि सदक़ा को जाइज़ कर दे या न करे अगर जाइज़ कर दिया सवाब पायेगा और जाइज़ न किया तो अगर वह चीज मौजूद है अपनी चीज़ ले ले और हलाक होगई है तो तावान लेगा यह इख़्तियार है कि मुलतक़ित से तावान ले या मिस्कीन से जिस से भी लेगा वह दूसरे से रुजूअ् नहीं कर सकता (आलमगीरी)
मसअ्ला :– बच्चे ने पड़ा माल उठाया और गवाह न बनाया तो ज़ाइअ् होने की सूरत में उसे भी तावान देना पड़ेगा (बहर)
मसअ्ला :– बच्चे को कोई पड़ी हुई चीज़ मिली और उठा लाया तो उस का वली या वसी तशहीर करे और मालिक का पता न मिला और वह बच्चा खुद फ़क़ीर है तो वली या वसी खुद उस बच्चा पर तसद्दुक़ कर सकता है और बाद में मालिक आया और तसद्दुक़ को उस ने जाइज़ न किया तो वली या वसी को ज़मान देना होगा (बहरुर्राइक़)
मसअ्ला :– अगर मुलतक़ित तशहीर से आजिज़ है मसलन बूढ़ा या मरीज़ है कि बाज़ार वग़ैरा में जाकर एअ्लान नहीं कर सकता तो दूसरे को अपना नाइब बना सकता है कि यह एअ्लान करदे और नाइब को देने के बाद अगर वापस लेना चाहे तो वापस नहीं ले सकता और नाइब के पास से वह चीज़ ज़ाइअ् होगई तो उस से तावान नहीं ले सकता बहरुर्राइक़ (मुनहतुलख़ालिक़)
मसअ्ला :– उठाने वाला अगर फ़क़ीर है तो मुद्दते मज़कूरा तक एअ्लान के बाद खुद अपने सर्फ़ में भी ला सकता है और मालदार है तो अपने रिश्ते वाले फ़क़ीर को दे सकता है मसलन अपने बाप, माँ, शौहर, ज़ौजा, बालिग़ औलाद, को दे सकता है (दुर्रे मुख़्तार)
मसअ्ला :– उठाने वाला फ़क़ीर था और एअ्लान के बाद अपने सर्फ़ में लाया फिर वह शख़्स मालदार हो गया तो यह वाजिब नहीं कि इतना ही फ़क़ीर पर तसद्दुक़ करे (रद्दुल मुहतार)
मसअ्ला :– बादशाह या हाकिम लुक़ता को क़र्ज़ दे सकता है चाहे खुद मुलतक़ित को क़र्ज़ देदे या दूसरे को यूँही किसी को बतौर मज़ारिबत (तिजारत के लिए पैसा देना जिस में काम करने वाले का भी फ़ायदा हो और पैसे वाले का भी फ़ायदा हो–क़ादरी) भी दे सकता है (फ़तहुलक़दीर बहर)

मसअला :– मुलतक़ित के हाथ से लुक़ता ज़ाइअ् हो गया फिर उस चीज़ को दूसरे के पास देखा तो यह दअ्वा कर के नहीं ले सकता (शलबी जौहरा)

मसअला :– बदमस्त आदमी (नशे में बेहोश आदमी)रास्ता में पड़ा हुआ है और उस का कोई कपड़ाभी वहीं गिरा है उस को हिफ़ाज़त की ग़र्ज़ से जो कोई उठायेगा तावान देना पड़ेगा कि अगर्चे वह नशे में है उस की चीज़ों को हिफ़ाज़त की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऐसों से लोग खुद डरते हैं उन कीचीज़ें नहीं उठाते (शलबी)

मसअला :– जो चीज़ें ख़राब हो जाने वाली हैं जैसे फल और खाने उन का एअ्लान सिर्फ़ इतने वक़्त तक करना लाज़िम है कि ख़राब न हों और ख़राब होने का अन्देशः हो तो मिस्कीन को देदे(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– कोई ऐसी चीज़ पाई जो बे क़ीमत है जैसे खजूर की गुठली अनार का छिलका ऐसी अशया में एअ्लान की हाजत नहीं क्योंकि मालूम होता है इसे छोड़देना इबाहत है कि जो चाहे ले ले और अपने काम में लाये और यह छोड़ना तमलीक नहीं कि मजहूल की तरफ़ से तमलीक सहीह नहीं लिहाज़ा वह अब भी मालिक की मिल्क में बाक़ी है (रद्दुल मुहतार)और बाज़ फ़ुक़हा यह फ़रमाते हैं कि यह हुक्म उस वक़्त है कि वह मुतफ़र्रिक़ हों और अगर इकट्ठी हों तो मालूम होता है कि मालिक ने काम के लिए जमअ् कर रखी हैं लिहाज़ा महफ़ूज़ रखे ख़र्च न करे (बहरुर्राइक़)

मसअला :– लुक़ता की निस्बत अगर मालूम है कि यह ज़िम्मी की चीज़ है तो उसे बैतुलमाल में जमअ् कर दे खुद अपने तसर्रुफ़ में न लाये न मिस्कीन को दे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अगर मालिक के पता चलने की उमीद नहीं है और मुलतक़ित के मरने का वक़्त क़रीब आगया तो वसियत कर जाना यानी यह ज़ाहिर कर देना कि यह लुक़ता है वाजिब है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मुलतक़ित को लुक़ता की कोई उजरत नहीं मिलेगी अगर्चे कितनी ही दूर से उठा लाया हो और लुक़ता अगर जानवर हुआ और उस के खिलाने में कुछ ख़र्च किया हो तो उस का मुआविज़ा भी नहीं पायेगा हाँ अगर क़ाज़ी की इजाज़त से हो और उस ने कह दिया हो कि उस पर ख़र्च कर जो कुछ ख़र्च होगा मालिक से वुसूल कर लेना तो अब मसारिफ़ (ख़र्चे)ले सकता है(बहरुर्राइक़)

मसअला :– जो कुछ हाकिम की इजाज़त से ख़र्च किया है उसे वुसूल करने के लिए लुक़ता को मालिक से रोक सकता है मसारिफ़ देने के बाद वह ले सकता है और न दे तो क़ाज़ी लुक़ता को बेचकर मसारिफ़ अदा कर दे और जो बचे मालिक को देदे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– लुक़ता पर ख़र्च करने की क़ाज़ी से इजाज़त तलब करेगा मगर गवाहों से लुक़ता होना साबित हो गया तो मसारिफ़ की इजाज़त देगा वरना नहीं और अगर मुलतक़ित कहता है मेरे पारा गवाह नहीं हैं तो क़ाज़ी यह हुक्म देगा कि अगर तू सच्चा है इस पर ख़र्च कर मालिक आयेगा तो वुसूल कर लेना और अगर तू ग़ासिब है तो कुछ न मिलेगा (हिदाया)

मसअला :– लुक़ता अगर ऐसी चीज़ हो जिस से मनफ़अत हासिल हो सकती है मसलन बैल, गधा,घोड़ा कि उनको किराये पर देकर उजरत हासिल कर सकता है तो हाकिम की इजाज़त से किराया पर दे सकता है और जो उजरत हासिल हो उसी में से उसे खुराक भी दीजाये और अगर ऐसी चीज़ लुक़ता हो जिस से आमदनी न हो और सरे दस्त मालिक का पता नहीं चलता और उस पर ख़र्च करने में मालिक का नुक़सान है कि कुछ दिनों में अपनी क़ीमत की क़द्र खाजायेगा तो

क़ाज़ी उस को बेचकर उस की क़ीमत महफ़ूज़ रखे कि उसी में मालिक का नफ़अ् है और क़ाज़ी ने बैअ् की या क़ाज़ी के हुक्म से मुलतक़ित ने तो यह बैअ् नाफ़िज़ है मालिक उस बैअ् को रद नहीं कर सकता (बहर, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– लुक़ता ऐसी चीज़ थी जिस के रखने में मालिक का नुक़सान था उसे ख़ुद मुलतक़ित ने बग़ैर इजाज़ते क़ाज़ी बेच डाला तो यह बैअ् नाफ़िज़ न होगी बल्कि इजाज़ते मालिक पर मौक़ूफ़ रहेगी अगर मालिक आया और चीज़ मुश्तरी(ख़रीदार)के पास मौजूद है तो उसे इख़्तियार है बैअ् को जाइज़ करे या बातिल करदे और चीज़ उस से ले ले अगर मालिक उस वक़्त आया कि मुश्तरी के पास वह चीज़ न रही तो उसे इख़्तियार है कि मुश्तरी से उस की क़ीमत का तावान ले या बाइअ् (बेचने वाले) से तावान लेगा तो बैअ् नाफ़िज़ हो जायेगी और ज़रे समन बाइअ् (बेचने वाले)का होगा मगर ज़रे समन जितना क़ीमत से ज़ाइद हुआ उसे सदक़ा कर दे (फ़तहुलक़दीर)

मसअ्ला :– लुक़ता का मुद्दई पैदा हो गया और वह निशान और पता बताता है जो लुक़ता में मौजूद है या ख़ुद मुलतक़ित उस की तस्दीक़ करता है तो देदेना जाइज़ है और क़ाज़ी ने हुक्म कर दिया तो देना लाज़िम और बग़ैर हुक्मे क़ाज़ी देदिया तो उस का कफ़ील यानी ज़ामिन ले सकता है (दुर्रे मुख़्तार)और अलामत बताने की सूरत में अगर देने से इन्कार करे तो मुद्दई को गवाह से साबित करना होगा कि यह उसी की मिल्क है (हिदाया)

मसअ्ला :– मुद्दई ने अलामत बयान की या मुलतक़ित ने उस की तस्दीक़ और लुक़ता देदिया उस के बाद दूसरा मुद्दई पैदा होगया और यह गवाहों से अपनी मिल्क साबित करता है तो अगर चीज़ मौजूद है उसे दिलादी जाये और तल्फ़ हो चुकी है तो तावान ले सकता है और यह इख़्तियार है कि मुलतक़ित से तावान ले या मुद्दई–ए–अव्वल से (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला :– रास्ते पर भेड़ मरी हुई पड़ी थी उस ने उस की ऊन काट ली तो उसे अपने काम में ला सकता है और मालिक आकर उस का मुतालबा करे तो ले सकता है और अगर उस की खाल निकाल कर पकाली और मालिक लेना चाहे तो ले सकता है मगर पकाने की वजह से जो कुछ क़ीमत में इज़ाफ़ा हुआ है देना पड़ेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– ख़रबूज़ा और तरबूज़ की पालेज़ को लोगों ने लूट लिया अगर उस वक़्त लूटी जब मालिक की तरफ़ से इजाज़त हो गई कि जिस का जी चाहे लेजाये जैसा कि आम तौर पर जब फ़स्ल ख़त्म हो जाया करती है थोड़े से ख़राब फल बाक़ी रह जाते हैं मालिक इजाज़त देदिया करते हैं तो लूटने में कोई हर्ज नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– निकाह में छुआरे लुटाए जाते हैं एक के दामन में गिरे थे और दूसरे ने उठा लिए उस की दो सूरतें हैं जिस के दामन में गिरे थे अगर उस ने उसी ग़र्ज़ से दामन फैलाया था तो दूसरे को लेना जाइज़ नहीं वरना जाइज़ है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– शादियों में रुपये पैसे लुटाने के लिए जिस को दिए वह ख़ुद लुटाए दूसरे को लुटाने के लिए नहीं दे सकता और कुछ बचाकर अपने लिए रख लिये या गिरा हुआ ख़ुद उठाले यह जाइज़ नहीं और शकर छुआरे लुटाने को दिए तो बचा कर कुछ रख सकता है और दूसरे को भी लुटाने के लिए दे सकता है और दूसरे ने लुटाये तो अब वह भी लूट सकता है (ख़ानिया)

मसअ्ला :– खेत कट जाने के बाद कुछ बालियाँ गिरी पड़ी रह जाती हैं अगर काश्तकार ने छोड़दी हैं कि जिस का जी चाहे उठा ले जाये तो लेजाने में हर्ज नहीं मगर मालिक की मिल्क अब भी बाक़ी है और चाहे तो ले सकता है मगर जमअ् करने के बाद उस से ले लेना दनाअत है और अगर काश्तकार ने चन्द ख़ास लोगों से कह दिया कि जो चाहे लेजाये तो अब जमअ् करने वालों का हो गया (बहरुर्राइक, तबईईन वग़ैरा)

मसअ्ला :– अगर यतीमों का खेत है और बालियाँ इतनी ज़ाइद हैं कि उजरत पर चुनवाई जायें तो मअ्कूल मिक़्दार में बचेंगी तो छोड़ना जाइज़ नहीं और इतनी हैं कि चुनवाई जायें तो उतनी ही मज़दूरी भी देनी पड़ेगी या मज़दूरी देने के बाद क़द्रे क़लील बचेंगी तो छोड़ देना जाइज़ है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अखरोट वग़ैरा के दाने मिले यूँ कि पहले एक मिला फिर दूसरा फिर और एक व अ़ला हाज़लक़ियास (इसी तरह) इतने मिले कि अब उन की क़ीमत होगई तो अहवत (ज़्यादा बेहतर)यह है कि बहर सूरत उन की हिफ़ाज़त करे और मालिक को तलाश करे और सेब, अमरूद, पानी में पड़े हुए मिले तो लेना जाइज़ है अगर्चे ज़्यादा हों वरना पानी में ख़राब हो जायेंगे।

मसअ्ला :– बारिश्श में इस लिए बरतन रख दिए कि उन में पानी जमअ् हो तो दूसरे को बग़ैर इजाज़त उन बरतनों का पानी लेना जाइज़ नहीं और अगर इस लिए नहीं रखे हैं तो जाइज़ है यूँही अगर सुखाने के लिए जाल फैलाया उस में कोई जानवर फँस गया तो जिस ने पकड़ा उस का है और जानवर पकड़ने के लिए जाल ताना तो जानवर जाल वाले का है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी की ज़मीन में महल्ला वाले राख कूड़ा डालते हैं अगर मालिक ज़मीन ने उस को उसी लिए छोड़ रखा है कि जब ज़्यादा मिक़्दार में जमअ् हो जायेगी तो अपने खेत में डालूँगा तो दूसरे को उठाना जाइज़ नहीं और अगर ज़मीन इस लिए नहीं छोड़ी है तो जो पहले उठा ले उसकी है यूँहीं ऊँट वाले किसी के मकान पर किराये के लिए अपने ऊँट बिठाते हैं कि जिस को ज़रूरत हो यहाँ से किराये पर लेजाये और यहाँ बहुत सी मींगनियाँ जमअ् हो गईं अगर मालिक मकान का ख़याल उन के जमअ् करने का था तो उसकी हैं दूसरा नहीं ले सकता वरना जिस का जी चाहे ले जाये (बहरुर्राइक, आलमगीरी)

मसअ्ला :– जंगली कबूतर ने किसी के मकान में अंडे दिए अगर मालिके मकान ने पकड़ने के लिए दरवाज़ा भेड़ा था कि दूसरे ने आकर पकड़ लिया तो यह मालिक मकान का है वरना जो पकड़ ले उस का है एक की कबूतरी से दूसरे के कबूतर का जोड़ा लग गया और अन्डे बच्चे हुए तो कबूतरी वाले के हैं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जंगली कबूतरों में पलाऊ कबूतर मिल गया तो उस का पकड़ना जाइज़ नहीं और पकड़ लिया तो मालिक को तलाश कर के देदे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– बाज़ या शिकरा वग़ैरा पकड़ा जिस के पाव में झुनझुनी बन्धी है जिस से घरेलू मालूम होता है तो यह लुक़ता है एअ्लान करना ज़रूरी है यूँही हिरन पकड़ा जिस के गले में पट्टा या हार पड़ा हुआ है या पालतू कबूतर पकड़ा तो एअ्लान करे और मालिक मालूम हो जाये तो उसे वापस करे। (आलमगीरी, बहर)

मसअ्ला :– काश्तकार अपने खेतों में कई कई दिन गायें या भेड़ें रात में ठहराते हैं ताकि उन के

पाखाना पेशाब से खेत दुरुस्त हो जाये लिहाज़ा यहाँ से गोबर या मींगनियाँ दूसरे को लेना जाइज़ नहीं।

मसअ्ला :– मजमों (भीड़)या मसाजिद में अकसर जूते बदल जाते हैं उन को काम में लाना जाइज़ नहीं हाँ अगर यह किसी फ़क़ीर को अगर्चे अपनी औलाद को सदक़ा कर दें फिर वह उसे हिबा कर दे तो तसर्रुफ़ में ला सकता है या उस का अच्छा जूता कोई उठा लेगया और अपना ख़राब छोड़ गया कि देखने से मालूम होता है उस ने क़स्दन ऐसा किया है धोके से नहीं हुआ तो जब यह शख़्स ख़राब जोड़ा उठा लाया उस को पहन सकता है कि यह उस का एवज़ है (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला :– किसी के मकान पर कोई अजनबी मुसाफ़िर आया और मर गया तजहीज़ व तकफ़ीन के बाद उस के तरका में कुछ रुपया बचा तो मालिक मकान अगर्चे फ़क़ीर हो उन रुपयों को अपने सर्फ़ में नहीं ला सकता कि यह लुक़ता नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी ने अपना जानवर क़स्दन छोड़ दिया और कहदिया जिस का जी चाहे पकड़ ले जैसे तोता मैना वग़ैरा पालतू जानवर अकसर छोड़ दिया करते हैं और कह देते हैं जिस का जी चाहे उसे पकड़ ले तो अब जो पकड़ेगा उसी का है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– दरिया में लकड़ी बहती हुई आई अगर उस की क़ीमत है तो लुक़ता है वरना लेने वाले के लिए हलाल है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मुसाफ़िर आदमी किसी के यहाँ ठहरा और मर गया अगर उस का तरका पाँच दिरहम तक है तो साहिबे ख़ाना वुरसा को तलाश करे पता न चले तो मसाकीन को देदे और ख़ुद फ़क़ीर हो तो अपने सर्फ़ में लाये और पाँच दिरहम से ज़्यादा है और वुरसा का पता न चले तो बैतुलमाल में दाख़िल कर दे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मुसाफ़िरत में कोई मर गया तो उस के रुफ़का को इख़्तियार है कि सामान बेचकर दाम जो कुछ मिले वुरसा को पहुँचा दें जब कि ख़ुद सामान लाद कर ले जाने में इतने मसारिफ़ हों जो सामान की क़ीमत को पहुँच जायें कि उस सूरत में वुरसा का फ़ायदा बेचडालने में है (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– बैरुने शहर (शहर के बाहर)दरख़्तों के नीचे जो फल गिरे हों अगर उन की निस्बत मालूम हो कि खा लेने की सराहतन या दलालतन इजाज़त है जैसे उन मवाक़ेअ् में जहाँ कसरत से फल पैदा होते हैं राहगीरों से तअ़र्रुज़ नहीं करते ऐसे मवाक़ेअ् में खाने की इजाज़त है मगर दरख़्तों से तोड़कर खाने की इजाज़त नहीं मगर जहाँ इस की भी इजाज़त साबित हो तोड़कर भी खा सकता है (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– मकान ख़रीदा और उस की दीवार वग़ैरा में रुपये मिले बाइअ् (बेचने वाला) कहता है यह मेरे हैं तो उसे दे दे वरना लुक़ता है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मस्जिद में सोया था उस के हाथ में कोई शख़्स रुपये की थैली रख कर चला गया तो यह रुपये उस के हैं अपने ख़र्च में ला सकता है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जिस की कोई चीज़ गुम हो गई है उस ने एअ्लान किया कि जो उस का पता बतायेगा उस को इतना दूँगा तो इजारा बातिल है (बहर, मुनहतुल ख़ालिक़)

मसअ्ला :– और बतौर इनआम देना चाहे तो दे सकता है।

मसअ्ला :– लोगों के दैन (क़र्ज़) या हुक़ूक़ उस के ज़िम्मे हैं मगर न उन का पता है न उन के

ज़ुरसा का तो इतना ही अपने माल में से फुकरा पर तसद्दुक करे आख़िरत के मुआख़िज़ा (पकड़)से बरी हो जायेगा और क़स्दन गसब किया है तो तौबा भी करे और अगर किसी का मुतालबा उस के ज़िम्मे है और उस के पास माल नहीं कि अदा करे और मालिक का पता भी नहीं कि मुआफ कराये तो तौबा व इस्तिगफार करे और मालिक के लिए दुआ करे उमीद है कि अल्लाह तआला बरी कर दे(दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– चोर ने अगर किसी को कोई चीज़ देदी अगर मालिक मालूम है तो मालिक को देदे वरना सदका कर दे ख़ुद उस चोर को वापस न दे (बहरूर्राइक़)

फ़ायदा :– जब चीज़ गुम हो जाये तो यह दुआ पढ़े

يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ اِجْمَعْ بَيْنِىْ وَ بَيْنَ ضَالَّتِىْ

ज़ाल्लती की जगह पर उस चीज़ का नाम ज़िक्र करे वह चीज़ मिल जायेगी इमाम नोवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फ़रमाते हैं. उस को मैंने आज़माया है गुमी हुई चीज़ जल्द मिल जाती है दूसरी तरकीब यह है कि बलन्द जगह क़िबला को मुँह कर के खड़ा हो और फ़ातिहा पढ़ कर उस का सवाब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नज़्र करे फिर सय्यदी अहमद इब्नेअलवान को हदिया कर के यह कहे उन की बरकत से चीज़ मिलजायेगी।

يَا سَيِّدِىْ اَحْمَدَ يَا اِبْنَ عَلْوَانْ رُدَّ عَلَىَّ ضَالَّتِىْ وَ اِلَّا نَزَعْتُكَ مِنْ دِيْوَانِ الْاَوْلِيَاءِ

मफ़कूद का बयान

हदीस न.1 :– दारे कुतनी मुग़ीरा इब्ने शोअ़बा रदियल्लाहु तआला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया मफ़कूद की औ़रत जब तक बयान न आजाये(यानी उस की मौत या तलाक़ न मालूम हो)उसी की औ़रत है अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने अपने मुसन्नफ़ मे रिवायत की कि हज़रते अ़ली रदियल्लाहु तआला अ़न्हु ने मफ़कूद की औ़रत के मुतअ़ल्लिक फ़रमाया कि वह एक औ़रत है जो मुसीबत में मुब्तला की गई उस को सब्र करना चाहिए जब तक मौत या तलाक़ की ख़बर न आये और हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अ़न्हु से भी ऐसा ही मरवी है कि उस को हमेशा इन्तिज़ार करना चाहिए और अबू क़लाबा व जाबिर इब्ने यज़ीद व शोअ़बी व इबराहीम नख़ई रदियल्लाहु तआला अ़न्हुम का भी यही मज़हब है। मफ़कूद उसे कहते हैं जिस का कोई पता न हो यह भी मालूम न हो कि ज़िन्दा है या मरगया।

मसअला :– मफ़कूद ख़ुद अपने हक़ में ज़िन्दा क़रार पायेगा लिहाज़ा उस का माल तकसीम न किया जाये और उस की औ़रत निकाह नहीं कर सकती और उस का इजारा फ़स्ख़ न होगा और क़ाज़ी किसी शख़्स को वकील मुकर्रर कर देगा उस के अमवाल की हिफ़ाज़त करे और उस की जाइदाद की आमदनी वुसूल करे और जिन दुयून (कर्ज़ों) का कर्ज़दारों ने ख़ुद इकरार किया है उन्हें वुसूल करे और अगर वह शख़्स अपनी मौजूदगी में किसी शख़्स को इन उमूर के लिए वकील मुकर्रर कर गया है तो यही वकील सब कुछ करेगा क़ाज़ी को बिला ज़रूरत दूसरा वकील मुकर्रर करने की हाजत नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– क़ाज़ी ने जिसे वकील किया है उस का सिर्फ़ इतना ही काम है कि कब्ज़ा (वुसूल)करे और हिफ़ाज़त में रखे मुकद्दमात की पैरवी नहीं कर सकता यानी अगर मफ़कूद पर किसी ने दैन या

वदियत का दअ्वा किया या उस की किसी चीज़ में शिरकत का दअ्वा करता है तो यह वकील जवाबदिही नहीं कर सकता और न ख़ुद किसी पर दअ्वा कर सकता है हाँ अगर ऐसा दैन(क़र्ज़)हो जो उस के अक़्द से लाज़िम हुआ हो तो उस का दअ्वा कर सकता है (हिदाया दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मफ़क़ूद का माल जिस के पास अमानत है या जिस पर दैन है यह दोनों ख़ुद बग़ैरहुक्मे क़ाज़ी अदा नहीं कर सकते अगर अमीन ने ख़ुद दे दिया तो तावान देना पड़ेगा और मदयून ने दिया तो दैन से बरी न हुआ बल्कि फिर देना पड़ेगा (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला :– मफ़क़ूद पर जिन लोगों का नफ़क़ा (ख़र्च, रोटी, कपड़ा वग़ैरह)वाजिब है यानी उस की ज़ौजा और उसूल व फ़ुरूअ् उन को नफ़का उस के माल से दिया जायेगा यानी रुपया और अशरफ़ी या सोना चाँदी जो कुछ घर में है या किसी के पास अमानत या दैन है उस से नफ़क़ा दिया जाये और नफ़का के लिए जाइदाद मनक़ूला या ग़ैर मनक़ूला बेची न जाये हाँ अगर कोई ऐसी चीज़ है जिस के ख़राब होने का अन्देशा है तो क़ाज़ी उसे बेच कर समन (क़ीमत)महफ़ूज़ रखेगा और अब उस में से नफ़क़ा भी दिया जा सकता है (आलमगीरी व दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मफ़क़ूद और उस की ज़ौजा में तफ़रीक़ उस वक़्त की जायेगी कि जब ज़न्ने ग़ालिब यह हो जाये कि वह मर गया होगा और उस की मिक़दार यह कि उस की उम्र से सत्तर बरस गुज़र जायें अब क़ाज़ी उस की मौत का हुक्म देगा और औरत इद्दते वफ़ात गुज़ार कर निकाह करना चाहे तो कर सकती है और जो कुछ इमलाक हैं उन लोगों पर तक़सीम होंगे जो उस वक़्त मौजूद हैं (फ़त्हुलक़दीर)

मसअ्ला :– दूसरों के हक़ में मफ़क़ूद मुर्दा है यानी उस ज़माने में किसी का वारिस नहीं होगा मसलन एक शख़्स की दो लड़कियाँ हैं और एक लड़का और उस के भी बेटे और बेटियाँ हैं लड़का मफ़क़ूद हो गया उस के बाद वह शख़्स मरा तो आधा माल लड़कियों को दिया जाये और आधा महफ़ूज़ रखा जाये अगर मफ़क़ूद आ जाये तो यह निस्फ़ उस का है वरना हुक्मे मौत के बाद उस निस्फ़ की एक तिहाई मफ़क़ूद की बहनों को दें और दो तिहाईयाँ मफ़क़ूद की औलाद पर तक़सीम करें (फ़त्हुल क़दीर)यानी दूसरों के अमवाल लेने के लिए मफ़क़ूद मुर्दा तसव्वुर किया जाये मूरिस की मौत के वक़्त जो लोग ज़िन्दा थे वही वारिस होंगे मफ़क़ूद को वारिस क़रार देकर उस के वुरसा को वह अमवाल नहीं मिलेंगे(दुर्रे मुख़्तार) यह उस वक़्त है कि जब से गुम हुआ है उस का अबतक कोई पता न चला हो और अगर दरमियान में कभी उस की ज़िन्दगी का इल्म हुआ है तो उस वक़्त से पहले जो लोग मरे हैं उन का वारिस है बाद में जो मरेंगे उन का वारिस नहीं होगा (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला :– मफ़क़ूद के लिए कोई शख़्स वसियत कर के मर गया तो माले वसीयत महफ़ूज़ रखा जायेगा अगर आ गया तो उसे देदें वरना मूसी के वुरसा को देंगे उस के वारिस को नहीं मिलेगा(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मफ़क़ूद अगर किसी वारिस का हाजिब हो तो उस महजूब को कुछ न देंगे बल्कि महफ़ूज़ रखेंगे मसलन मफ़क़ूद का बाप मरा तो मफ़क़ूद के बेटे महजूब हैं और अगर मफ़क़ूद की वजह से किसी के हिस्सा में कमी होती है तो मफ़क़ूद को ज़िन्दा फ़र्ज़ कर के सिहाम निकालें दोनों में जो कम हो वह मौजूद को दिया जाये और बाक़ी महफ़ूज़ रखा जाये (दुर्रे मुख़्तार)

शिरकत का बयान

हदीस न.1 :– सहीह बुख़ारी शरीफ़ में सलमा इब्ने अकवअ् रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं एक ग़ज़वा में लोगों के तोशा में कमी पड़ गई लोगों ने हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर ऊँट ज़िबह करने की इजाज़त तलब की कि उसी को (ज़िबहकरके खालेंगे) हुजूर ने इजाज़त दे दी फिर लोगों से हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु की मुलाकात हुई उन्हों ने ख़बर दी (कि ऊँट ज़िबह करने की हम ने इजाज़त हासिल कर ली है)हज़रते उमर ने फ़रमाया ऊँट ज़िबह कर डालने के बाद तुम्हारी बक़ा(ज़िन्दा रहने)की क्या सूरत होगी यानी जब सवारी न रहेगी और पैदल चलोगे थक जाओगे और कमज़ोर हो जाओगे फिर दुशमनो से जिहाद क्यों कर कर सकोगे और यह हलाकत का सबब होगा फिर हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ की या रसूलल्लाह ऊँट ज़िबह हो जाने के बाद लोगों की बक़ा की क्या सूरत होगी हुजूर ने इरशाद फ़रमाया कि एअ्लान कर दो कि जो कुछ तोशा लोगों के पास बचा है वह हाज़िर लायें एक दस्तर ख़्वान बिछा दिया गया लोगों के पास जो कुछ तोशा बचा हुआ था लाकर उस दस्तर ख़्वान परजमअ् कर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खड़े हो गये और दुआ की फिर लोगों से फ़रमाया अपने अपने बर्तन लाओ सब ने अपने बर्तन भर लिए फिर हुजूर ने फ़रमाया कि मैंगवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मअ्बूद नहीं और बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ।

हदीस न.2 :– सहीह बुख़ारी शरीफ़ में अबू मूसा अशअ़री रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि क़बीला अशअ़री के लोगों का जब ग़ज़वा में तोशा कम हो जाता है या मदीना ही में उन के आल व अयाल के खाने में कमी हो जाती है तो जो कुछ उन के पास होता है सब को एक कपड़े में इकट्ठा कर लेते हैं फिर बराबर बराबर बाँट लेते हैं (इस अच्छी ख़सलत की वजह से) वह मुझ से हैं और मैं उन से हूँ।

हदीस न.3 :– अब्दुल्लाह इब्ने हश्शाम रदियल्लाहु तआला अन्हु को उन की वालिदा ज़ैनब बिन्ते हमीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर लाईं और अर्ज़ की या रसूलल्लाह इस को बैअ्त फ़मा लीजिए यह छोटा बच्चा है फिर उन के सर पर हुजूर ने हाथ फेरा और उन के लिए दुआ की उन के पोते ज़हरा इब्ने मुअ़ब्बद कहते हैं कि मेरे दादा अब्दुल्लाह इब्ने हश्शाम मुझे बाज़ार लेजाते और वहाँ ग़ल्ला ख़रीदते तो इब्ने उमर इब्ने ज़ुबैर रदियल्लाहु तआला अन्हुम उन से मिलते और कहते हमें भी शरीक कर लो क्यों कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे लिए दुआए बरकत की है वह उन्हें भी शरीक कर लेते और बसा औक़ात एक मुसल्लम ऊँट नफ़अ् में मिलजाता और उसे घर भेजदिया करते।

हदीस न.4 :– सहीह बुख़ारी शरीफ़ में है कि अगर एक शख़्स दाम ठहरा रहा है दूसरे ने उसे ग़ारा

कर दिया तो हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने उसके मुतअल्लिक़ यह हुक्म दिया यह उस का शरीक हो गया यानी शिरकत के लिए इशारा काफ़ी है ज़बान से कहने की ज़रूरत नहीं।

हदीस न.5 :– अबूदाऊद व इब्ने माजा व हाकिम ने साइब इब्ने अबी साइब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की उन्होंने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की ज़मानाए जाहिलियत में हुजूर मेरे शरीक थे और हुजूर बेहतर शरीक थे कि न मुझ से मुदाफ़अत करते और न झगड़ा करते।

हदीस न.6 :– अबू दाऊद व हाकिम व रज़ीन ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह फ़रमाता है कि दो शरीकों का मैं सालिस (तीसरा शख़्स दो के दरम्यान फ़ैसला करने वाला)रहता हूँ जब तक उन में कोई अपने साथी के साथ ख़ियानत न करे और जब ख़ियानत करता है तो उन से जुदा हो जाता हूँ।

हदीस न.7 :– इमाम बुख़ारी व इमाम अहमद ने रिवायत की कि ज़ैद इब्ने अरक़म व बर्रा इब्ने आज़िब रदियल्लाहु तआला अन्हुमा दोनों शरीक थे और उन्होंने चाँदी ख़रीदी थी कुछ नक़द कुछ उधार हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ख़बर पहुँची तो फ़रमाया कि जो नक़द ख़रीदी है वह जाइज़ है और जो उधार ख़रीदी उसे वापस कर दो।

शिरकत की क़िस्में और उन की तअ़रीफ़ें :–

मसअ्ला :– शिरकत दो क़िस्म है शिरकते मिल्क, **शिरकते अक़्द शिरकते मिल्क की तअ़रीफ़ यह है** कि चन्द शख़्स एक शय(चीज़)के मालिक हों और बाहम अक़्दे शिरकत न हुआ हो **शिरकते अक़्द** यह है कि बाहम शिरकत का अक़्द किया हो मसलन एक ने कहा मैं तेरा शरीक हूँ दूसरे ने कहा मुझे मन्ज़ूर है शिरकते मिल्क दो क़िस्म है कि 1.जबरी 2.इख़्तियारी जबरी यह कि दोनों माल में बिला क़स्द व इख़्तियार ऐसा ख़ल्त(मेल)हो जाये कि हर एक की चीज़ दूसरे से मुतमय्यज़ (जुदा)न हो सके या हो सके मगर निहायत दिक़्क़त व दुशवारी से मसलन विरासत में दोनों को तरका मिला कि हर एक का हिस्सा दूसरे से मुमताज़ नहीं या दोनों की चीज़ एक क़िस्म की थी और मिल गई कि इम्तियाज़ न रहा या ऐक के गेहूँ थे दूसरे के जौ और मिल गये तो अगर्चे यहाँ अलाहिदगी मुमकिन है मगर दुशवारी ज़रूर है इख़्तियारी यह कि उन के फ़ेअ्ल व इख़्तियार से शिरकत हुई हो मसलन दोनों ने शिरकत के तौर पर किसी चीज़ को ख़रीदा या उन को हिबा और सदक़ा में मिली और क़बूल किया या किसी ने दोनों को वसियत की और उन्होंने क़बूल की या एक ने क़स्दन अपनी चीज़ दूसरे की चीज़ में मिला दी कि इम्तियाज़ जाता रहा (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार, वग़ैरहुमा)

शिरकते मिल्क की क़िस्में :–

मसअ्ला :– शिरकते मिल्क में हर एक अपने हिस्से में तसर्रुफ़ कर सकता है और दूसरे के हिस्से में अजनबी की तरह है लिहाज़ा अपना हिस्सा बैअ् (बेच) कर सकता है उस में शरीक से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं उसे इख़्तियार है शरीक के हाथ बैअ् करे या दूसरे के हाथ मगर शिरकत अगर इस तरह हुई कि अस्ल में शिरकत न थी मगर दोनों ने अपनी चीज़ें मिला दीं या दोनों की चीज़ें मिल गईं और ग़ैर शरीक के हाथ बेचना चाहता है तो शरीक से इजाज़त लेनी पड़ेगी या

अस्ल में शिरकत है मगर बैअ् करने में शरीक को ज़रर होता है तो बग़ैर इजाज़ते शरीक ग़ैर शरीक के हाथ बैअ् नहीं कर सकता मसलन मकान या दरख़्त या ज़राअते (खेती)मुश्तरक से तो बग़ैरइजाज़त बैअ् नहीं कर सकता कि मुश्तरी तक़सीम कराना चाहेगा और तक़सीम में शरीक का नुक़सान है हाँ अगर ज़राअ़त तय्यार है या दरख़्त काटने के लाइक़ हो गया और फलदार दरख़्त नहीं है तो अब इजाज़त की ज़रूरत नहीं कि अब कटवाने में किसी का नुक़सान नहीं (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– मुश्तरक चीज़ अगर क़ाबिले क़िस्मत (तक़सीम के लाइक़)न हो जैसे हमाम, चक्की,गुलाम, चौपाया, उस की बैअ् बग़ैर इजाज़त भी जाइज़ है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– शिरकते अ़क़्द में ईजाब व क़बूल ज़रूर है ख़्वाह लफ़्ज़ों में हो या क़रीना से ऐसासमझा जाता हो मसलन एक ने हज़ार रुपये दिये और कहा तुम भी इतना निकालो और कोई चीज़ ख़रीदो नफ़अ् जो कुछ होगा दोनों का होगा दूसरे ने रुपये ले लिये तो अगर्चे क़बूल लफ़ज़न नहीं मगर रुपया ले लेना क़बूल के क़ाइम मक़ाम है(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– शिरकते अ़क़्द में यह शर्त है कि जिस पर शिर्कत हुई क़ाबिले वकालत हो लिहाज़ा मुबाह अशया में शिर्कत नहीं हो सकती मसलन दोनों ने शिर्कत के साथ जंगल की लकड़ियाँ काटीं कि जितनी जमअ् होंगी दोनों में मुश्तरक होंगी यह शिर्कत सहीह नहीं हर एक उसी का मालिकहोगा जो उस ने काटी है और यह भी ज़रूर है कि ऐसी शर्त न की हो जिस से शिर्कत ही जाती रहे मसलन यह कि नफ़अ् दस रुपया मैं लूँगा क्योंकि हो सकता है कि कुल दस ही रुपये नफ़अ् के हों तो अब शिरकत किस चीज़ में होगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– नफ़अ् में कम व बेश के साथ भी शिरकत हो सकती है मसलन एक की एक तिहाई और दूसरे की दो तिहाईयाँ और नुक़सान जो कुछ होगा वह रासुलमाल के हिसाब से होगा उस के ख़िलाफ़ शर्त करना बातिल है मसलन दोनों के रुपये बराबर हैं और शर्त यह की जो कुछ नुक़सान होगा उस की तिहाई फ़लाँ,के ज़िम्मे और दो तिहाईयाँ फ़लाँ के ज़िम्मे यह शर्त बातिल है और उस सूरत में दोनों के ज़िम्मे नुक़सान बराबर होगा (रद्दुल मुहतार)

शिरकते अक़्द की क़िस्में और शिरकते मुफ़ाविज़ा की तअ्रीफ़ व शराइत:–

मसअ्ला :– शिरकते अ़क़्द की चन्द क़िस्में हैं (1)शिरकत बिलमाल,(2) शिरकत बिलअमल,(3)शिरकते वुजूह फिर हर एक दो क़िस्म है (1) मुफ़ाविज़ा (2) अनान यह कुल छः क़िस्में हैं **शिरकते मुफ़ाविज़ा** यह है कि हर एक दूसरे का वकील व कफ़ील हो यानी हर एक का मुतालबा दूसरा वुसूल कर सकता है और एक पर जो मुतालबा होगा दूसरा उस की तरफ़ से ज़ामिन है और शिरकत मुफ़ाविज़ा में यह ज़रूर है कि दोनों के माल बराबर हों और नफ़अ् में दोनों बराबर के शरीक हों और तसर्रुफ़ व दैन में भी मुसावात (बराबरी)हो लिहाज़ा आज़ाद व ग़ुलाम में और नाबालिग़ में मुसलमान व काफ़िर में और आ़क़िल व मजनून में और दो नाबालिग़ों में और दो ग़ुलामों में शिरकते मुफ़ाविज़ा नहीं हो सकती (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– शिरकते मुफ़ाविज़ा की सूरत यह है कि दो शख़्स बाहम यह कहें कि हमने शिरकत

मुफ़ाविज़ा की और हम को इख़्तियार है कि यकजाई ख़रीद व फ़रोख़्त करें या अलाहिदा नक़्द बेचें ख़रीदें या उधार और हर एक अपनी राए से अमल करेगा और जो कुछ नफ़अ़ नुक़सान होगा उस में दोनों बराबर के शरीक हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिस क़िस्म के माल में शिरकते मुफ़ाविज़ा जाइज़ है उस क़िस्म का माल अ़लावा उस रासुलमाल के जिस में शिरकत हुई उन दोनों में से किसी के पास कुछ और न हो अगर उसके एलावा कुछ और माल हो तो शिरकते मुफ़ाविज़ा जाती रहेगी और अब यह शिरकते अ़नान होगी जिस का बयान आगे आता है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– शिरकते मुफ़ाविज़ा में दो सूरतें हैं एक यह कि बवक़्ते अक़्दे शिरकत लफ़्ज़े मुफ़ाविज़ा बोला जाये मसलन दोनों ने यह कहा कि हमने बाहम शिरकते मुफ़ाविज़ा की अगर्चे बाद में उनमें का एक शख़्स यह कहता है कि मैं लफ़्ज़े मुफ़ाविज़ा के मअ्ना नहीं जानता था कि इस सूरत में भी शिरकते मुफ़ाविज़ा हो जायेगी और उस के अहकाम साबित हो जायेंगी और मअ्ना का न जानना उ़ज़्र न होगा उस की दूसरी सूरत यह कि अगर लफ़्ज़े मुफ़ाविज़ा न बोलें तो तमाम वह बातें जो मुफ़ाविज़ा में ज़रूरी हैं ज़िक्र कर दें मसलन दो ऐसे शख़्स जो शिरकत मुफ़ाविज़ा के अहल हों यह कहें कि जिस क़द्र नक़्द के हम मालिक हैं उस में हम दोनों बाहम इस तरह पर शिरकत करते हैं कि हर एक दूसरे को पूरा पूरा इख़्तियार देता है कि जिस तरह चाहे ख़रीद व फ़रोख़्त में तसर्रुफ़ करे और हम में हर एक दूसरे का तमाम मुतालबात में ज़ामिन है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– हिन्दुस्तान में उ़मूमन ऐसा होता है कि बाप के मरजाने के बाद उस के तमाम बेटे तरका पर काबिज़ होते हैं और यकजाई (एक साथ)शिरकत में काम करते रहते हैं लेना देना तिजारत ज़राअ़त, खाना, पीना, एक साथ मुद्दतों रहता है और कभी यह होता है कि बड़ा लड़का खुद मुख़्तार होता है वह खुद जो चाहता है करता है और उसके दूसरे भाई उस की मातहती में उस बड़े की राए व मशवरे से काम करते हैं मगर यहाँ न लफ़्ज़ मुफ़ाविज़ा की तसरीह होती है और न उस के ज़रूरियात का बयान होता है और माल भी उ़मूमन मुख़्तलिफ़ क़िस्म के होते हैं और अ़लावा रुपये अशरफ़ी के मताअ़ (सामान) और असासा और दूसरी चीज़ें भी तरका में होती हैं। जिन में यह सब शरीक हैं यह शिरकत शिरकते मुफ़ाविज़ा नहीं बल्कि यह शिरकते मिल्क और इस सूरत में जो कुछ तिजारत व ज़राअ़त कारोबार के ज़रीआ़ से इज़ाफ़ा करेंगे उस में यह सब बराबर के शरीक हैं अगर्चे किसी ने ज़्यादा काम किया है और किसी ने कम और कोई दानाई व होशियारी से काम करता है और कोई ऐसा नहीं और अगर उन शुरका (शरीकों)में से बाज़ ने कोई चीज़ ख़ास अपने लिए ख़रीदी और उस की क़ीमत माले मुश्तरक से अदा की तो यह चीज़ उसी की होगी मगर चूँकि क़ीमत माले मुश्तरक से दी है लिहाज़ा बक़िया शुरका के हिस्से का तावान देना होगा।(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– शिरकत मुफ़ाविज़ा में अगर दोनों के माल एक जिन्स और एक नोअ़ (क़िस्म) के हों तोअ़दद में बराबरी ज़रूर है मसलन दोनों के रुपये हैं या दोनों की अशरफ़िया हैं और अगर दो जिन्स या दो नोअ़ के हों तो क़ीमत में बराबरी हो मसलन एक के रुपये हैं दूसरे की अशरफ़ियाँ या एक के रुपये हैं दूसरे कि अठन्नियाँ, चवन्नियाँ (आलमगीरी)

मसअला :– अक्दे मुफ़ाविज़ा के वक्त दोनों माल बराबर थे मगर अभी उस माल से कोई चीज़ ख़रीदी नहीं गई कि एक का माल कीमत में ज्यादा हो गया मसलन अशरफ़ी अक्द के वक्त पन्द्रह रुपये की थी और अब सोलह की हो गई तो शिरकते मुफ़ाविज़ा जाती रही। और अब यह शिरकते एनान है यूँहीं अगर उन में किसी एक का किसी पर कर्ज़ था और बादे शिरकते मुफ़ाविज़ा वह कर्ज़ वुसूल हो गया तो शिरकते मुफ़ाविज़ा जाती रही (आलमगीरी)

शिरकते मुफ़ाविज़ा के अहकाम :–

मसअला :– ऐसे दो शख़्स जिन में शिरकते मुफ़ाविज़ा है उन में अगर एक शख़्स कोई चीज़ ख़रीदे तो दूसरा उस में शरीक होगा अल्बत्ता अपने घार वालों के लिए खाना कपड़ा ख़रीदा या कोई और चीज़ ज़रुरियाते ख़ानादारी की ख़रीदी या किराये का मकान रहने के लिए लिया या हाजत के लिए सवारी का जानवर ख़रीदा तो यह तन्हा ख़रीदार का होगा शरीक को उस में से लेने का हक न होगा मगर बाइअ् (बेचने वाला)शरीक से भी समन का मुतालबा कर सकता है कि यह शरीके कफ़ील है फिर अगर शरीक ने माले शिरकत से समन अदा कर दिया तो उस ख़रीदार से अपने हिस्से के बराबर वापस ले सकता है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– उन में से एक को अगर मीरास मिली या शाही अतिया या हिबा या सदका या हदिया में कोई चीज़ मिली तो यह ख़ास उस की होगी शरीक का उस में कोई हक न होगा। (आलमगीरी)

मसअला :– शिरकत से पहले कोई अक्द किया था और इस अक्द की वजह से बादे शिरकत किसी चीज़ का मालिक हो तो इसमें भी शरीक हकदार नहीं मसलन एक चीज़ ख़रीदी थी जिस में बाइअ् ने अपने लिए ख़ियार लिया था (यानी तीन दिन तक मुझ को इख़्तियार है कि बैअ् काइम रखूँ या तोड़ दूँ) और बादे शिरकत बाइअ् ने अपना ख़ियार साकित कर दिया और चीज़ मुश्तरी (ख़रीदार)की हो गई मगर चूँकि यह बैअ् पहले की है इस लिए यह चीज तन्हा उसी की है शिरकत की नहीं।(आलमगीरी)

मसअला :– अगर एक के पास माले मुज़ारिबत है अगर्चे अक्दे मज़ारिबत पहले हुआ है और अब इस माल से ख़रीद व फ़रोख़्त की और नफ़अ् हुआ तो जो कुछ नफ़अ् मिलेगा उस में से शरीक भी अपने हिस्सा की मिक्दार से लेगा (आलमगीरी)

मसअला :– चूँकि उन में एक दूसरे का कफ़ील है लिहाज़ा एक पर जो दैन लाज़िम आया दूसरा उस का ज़ामिन है दूसरे पर भी वह दैन लाज़िम है और उस दूसरे से भी दाइन मुतालबा कर सकता है अब वह दैन ख़्वाह तिजारत की वजह से लाज़िम आया हो या उसने किसी से कर्ज़ लिया हो या किसी की कोई चीज़ ग़सब करके हलाक कर दी हो या किसी की अमानत अपने पास रख कर क़स्दन उसे ज़ाइअ् कर दिया हो अमानत से इन्कार कर दिया हो या किसी की उसने उस के कहने से ज़मानत की हो और यह दैन ख़्वाह गवाहों के ज़रीआ से दाइन ने उस के ज़िम्मे साबित किए हों या खुद उस ने उन दुयून (क़र्ज़ों) का इक़रार किया हो हर हाल में उसका शरीक भी ज़ामिन है मगर जब कि उस ने ऐसे शख़्स के दैन का इक़रार किया हो जिस के हक में उसकी गवाही मक़बूल न हो मसलन अपने बाप, दादा वग़ैरा उसूल या बेटा, पोता वग़ैरा फ़ुरूअ् या ज़ौज या ज़ौजा के हक़ में तो इस इक़रार से जो दैन साबित होगा उस का मुतालबा शरीक से नहीं हो सकता (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– महर या बदले खुलअ् (वह रकम जो तलाक़ देने के बदले ली जाये)या दियत (अमानत)

या दमे अ़मद (जान कर क़त्ल) में अगर किसी शय पर सुलह होगई तो यह दुयून शरीक पर लाज़िम न होंगे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– जिन सूरतों में एक पर जो दैन लाज़िम आया वह दूसरे पर भी लाज़िम हुआ उन में अगर दाइन(क़र्ज़ देने वाले) ने एक पर दअ़्वा किया है और गवाह पेश न कर सका तो जिस त़रह उस मुद्दआ़ अ़लैहि पर ह़ल्फ़ दे सकता है उसी तरह उस के शरीक से भी ह़ल्फ़ ले सकता है अगर्चे शरीक ने वह अ़क़्द नहीं किया है मगर दोनों से ह़ल्फ़ की एक ही सूरत नहीं बलिक फ़र्क़ है वह यह कि जिस पर दअ़्वा है उस से यूँ क़सम खिलाई जायेगी कि मैंने उस मुद्दई से यह अ़क़्द नहीं किया है मसलन अगर उस का यह दअ़्वा है कि उस ने फ़ुलाँ चीज़ मुझ से ख़रीदी है और उस का समन उस के ज़िम्मा बाक़ी है और यह मुन्किर है तो क़सम खायेगा कि मैंने उस से यह चीज़ नहींख़रीदी है या मेरे ज़िम्मे समन बाक़ी नहीं है और शरीक से अ़दमे फ़ेअ़्ल की क़सम नहीं खिलाई जा सकती क्योंकि उस ने ख़ुद अ़क़्द किया नहीं है वह क़सम खायेगा कि मैंने नहीं ख़रीदी फिर क़सम खिलाने का क्या फ़ाइदा बल्कि उस से अ़दमे इ़ल्म पर क़सम खिलाई जाये यूँ क़सम खाये कि मेरे इ़ल्म में नहीं कि मेरे शरीक ने ख़रीदी फिर अगर दोनों ने या किसी एक ने क़सम खाने से इन्कार किया तो क़ाज़ी दोनों पर दैन लाज़िम कर देगा और अगर दोनों ने अ़क़्द किया है यानी ईजाब व क़बूल में दोनों शरीक थे दोनों पर अ़दमे फ़ेअ़्ल ही की क़सम है कि उस सूरत में फ़क़त़ एक ने नहीं बल्कि दोनों ने ख़रीदा है और क़सम से एक ने भी इन्कार किया तो वही हुक्म है यूँहीं मुद्दई़ ने जिस पर दअ़्वा किया है ग़ाइब है और उस का शरीक ह़ाज़िर है तो मुद्दई़ उस ह़ाज़िर पर ह़ल्फ़ दे सकता है फिर जब वह ग़ाइब आजाये तो उस पर भी मुद्दई़ ह़ल्फ़ दे सकता है। (आलमगीरी)

मसअला :– उन दोनों शरीकों में से एक ने किसी पर दअ़्वा किया और मुद्दआ़ अ़लैहि से क़सम खिलाई तो दूसरे शरीक को दोबारा फिर उस पर ह़ल्फ़ देने का ह़क़ नहीं (आलमगीरी)

मसअला :– उन दोनों में से एक ने किसी चीज़ की ह़िफ़ाज़त करने की नौकरी की या उजरत पर किसी का कपड़ा सिया या कोई काम उजरत पर किया तो जो कुछ उजरत मिलेगी वह दोनों में मुश्तरक होगी (आलमगीरी)

शिरकते मुफ़ाविज़ा के बात़िल होने की सूरतें :–

मसअला :– अगर एक ने किसी को नौकर रखा या उजरत पर किसी से कोई काम कराया या किराये पर जानवर लिया तो मुवाजिर (उजरत़ लेने वाला) हर एक से उजरत ले सकता है(आलमगीरी)

मसअला :– उन दोनों में से एक की मिल्क में अगर कोई ऐसी चीज़ आई जिस में शिरकत हो सकती है ख्वाह चीज़ से किसी ने हिबा की या मीरास में मिली या वसीयत से या किसी और त़रीक़े से ह़ासिल हुई तो अब शिरकते मुफ़ाविज़ा जाती रही कि उस में बराबरी शर्त़ है और अब बराबरी न रही और अगर मीरास में ऐसी चीज़ मिली जिस में शिरकते मुफ़ाविज़ा नहीं मसलन सामान व असबाब मिले या मकान और खेत वग़ैरा जाइदाद ग़ैर मनक़ूला मिली या दैन मिला मसलन मूरिस का किसी के ज़िम्मे दैन है और अब यह उस का वारिस हुआ तो शिरकत बात़िल नहीं मगर दैन

सोना चाँदी की किस्म से हो तो जब वुसूल होगा शिरकत मुफ़ाविज़ा बातिल हो जायेगी और मुफ़ाविज़ा बातिल होकर अब शिरकत एनान हो जायेगी (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– एक ने अपना कोई सामान वग़ैरा उस क़िस्म की चीज़ बेच डाली जिस में शिरकते मुफ़ाविज़ा नहीं होती या ऐसी कोई चीज़ किराये पर दी तो समन या उजरत वुसूल होने पर शिरकते मुफ़ाविज़ा बातिल हो जायेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– शिरकते एनान के बातिल होने के जो असबाब हैं उन से शिरकत मुफ़ाविज़ा भी बातिल हो जाती है (बदाइअ्)

मसअ्ला :– शिरकते मुफ़ाविज़ा व एनान दोनों नुकूद (रुपया अशरफ़ी)हो सकती हैं या ऐसे पैसों में जिन का चलन हो और अगर चाँदी सोने, ग़ैर मज़रुब हों (सिक्का न हो)मगर उन से लेन देन का रिवाज हो तो उस में भी शिरकत हो सकती है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर दोनों के पास रुपये अशरफ़ी न हो सिर्फ़ सामान हों और शिरकत मुफ़ाविज़ा याशिरकते एनान करना चाहते हों तो हर एक अपने सामान के एक हिस्से को दूसरे के सामान के एक हिस्से के मक़ाबिल या रुपये के बदले बेच डाले उस के बाद उस बेचे हुए सामान में अक़्दे शिरकत कर लें (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर दोनों में एक का माल ग़ाइब हो (यानी न वक़्ते अक़्द उस ने माल हाज़िर किया और न ख़रीदने के वक़्त उस ने अपना माल दिया अगर्चे माल जिस पर शिरकत हुई उस के मकान में मौजूद हो)तो शिरकत सहीह नहीं यूँहीं अगर उस माल से शिरकत की जो उस के क़ब्ज़े में भी नहीं बल्कि दूसरे पर दैन है जब भी शिरकत सहीह नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– जिस क़िस्म का माल शिरकते मुफ़ाविज़ा में उस के पास मौजूद है उस जिन्स से जो चीज़ चाहे ख़रीदे यह ख़रीदी हुई चीज़ शिरकत की क़रार पायेगी अगर्चे जितना माल मौजूद है उस से ज़्यादा की ख़रीदे और अगर दूसरी जिन्स से ख़रीदी तो यह चीज़ शिरकत की न होगी बल्कि ख़ास ख़रीदने वाले की होगी मसलन उस के पास रुपया है तो रुपया से ख़रीदने में शिरकत की होगी और अशरफ़ी से ख़रीदे तो ख़ास उस की है यूंहीं उस का अक्स(उलटा)है (आलमगीरी)

हर एक शरीक के इख़्तेयारात

मसअ्ला :–उन में से हर एक को यह जाइज़ है कि शिरकत के माल में से किसी की दअ्वत करे या किसी के पास हदिया व तोहफ़ा भेजे मगर उतना ही जिसका ताजिरों में रिवाज होता है उसे इसराफ़ न समझते हों लिहाज़ा मेवा गोश्त, रोटी वग़ैरा इसी किस्म की चीज़ें तोहफ़ा में भेज सकता है रुपया अशरफ़ी हदिया नहीं कर सकता न कपड़ा दे सकता है न ग़ल्ला और मताअ् दे सकता है यूँहीं उस के यहाँ दअ्वत खाना या उस का हदिया क़बूल करना या उस से आरियत लेना भी जाइज़ है अगर्चे मालूम हो कि बग़ैर इजाज़ते शरीक माले शिरकत से यह काम कर रहा है मगर उस में भी रिवाज व मुतआरिफ़ (चलन) की क़ैद है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– उस को क़र्ज़ देने का इख़्तियार नहीं है हाँ अगर शरीक ने साफ़ लफ़्ज़ों में उसे क़र्ज़देने की इजाज़त दे दी हो तो क़र्ज़ दे सकता है और बग़ैर इजाज़त उस ने क़र्ज़ देदिया तो

निस्फ़ कर्ज़ (आधा कर्ज़) का शरीक के लिए तावान देना पडेगा मगर शिरकत बदस्तूर बाकी रहेगी(आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक शरीक बग़ैर दूसरे की इजाज़त के तिजारती कामों में वकील कर सकता है और तिजारती चीज़ों पर सर्फ़ करने के लिए माले शिरकत से वकील को कुछ दे भी सकता है फिर अगर यह वकील ख़रीद व फ़रोख़्त व इजारा के लिए उसने किया है तो दूसरा शरीक उसे वकालत से निकाल सकता है और अगर महज़ तकाज़े के लिए वकील किया है तो दूसरे शरीक को उस के निकालने का इख़्तियार नहीं (बदाइअ्, आलमगीरी)

मसअ्ला :– माले शिरकत किसी पर दैन है और एक शरीक ने मुआफ़ कर दिया तो सिर्फ़ उस केहिस्से की क़द्र मुआफ़ होगा दूसरे शरीक का हिस्सा मुआफ न होगा और अगर दैन की मीआद पूरी हो चुकी है और एक ने मीआ़द में इज़ाफ़ा कर दिया तो दोनों के हक़ में इजाफा हो गया और अगर उन शरीकों पर मीआ़दी दैन है जिसकी मीआ़द अभी पूरी नहीं हुई है और एक शरीक ने मीआद साकित़ कर दी तो दोनों से साकित़ हो जायेगी (आलमगीरी)

शिरकते इनान के मसाइल

मसअ्ला :– शिरकते इनान यह है कि दो शख़्स किसी ख़ास नोअ् (क़िस्म) की तिजारत या हर क़िस्म की तिजारत में शिरकत करें मगर हर एक दूसरे का ज़ामिन न हो सिर्फ़ दोनों शरीक आपस में एक दूसरे के वकील होंगे लिहाज़ा शिरकते इनान में यह शर्त है कि हर एक ऐसा हो जो दूसरे को वकील बना सकें (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी)

मसअ्ला :– शिरकते इनान मर्द व औरत के दरमियान मुस्लिम व काफ़िर के दरमियान बालिग़ और नाबालिग़ आकिल के दरमियान जब कि नाबालिग को उस के वली ने इजाज़त देदी हो और आज़ाद ग़ुलाम माज़ून के दरमियान हो सकती है (ख़ानिया)

मसअ्ला :– शिरकते इनान में यह हो सकता है कि उस की मीआ़द मुक़र्रर कर दी जाये मसलनएक साल के लिए हम दोनों शिरकत करते हैं और यह भी हो सकता है कि दोनों के माल कम व बेश हों बराबर न हों और नफ़अ् बराबर या माल बराबर हों और नफ़अ् कम व बेश और कुल माल के साथ भी शिरकत हो सकती है और बाज़ माल के साथ भी और यह भी हो सकता है कि दोनोंके माल दो क़िस्म के हों मसलन एक का रूपया हो दूसरे की अशरफ़ी और यह भी हो सकता है कि सिफ़त में इख़्तिलाफ़ हो मसलन एक के खोटे रुपये हों दूसरे के खरे अगर्चे दोनों की क़ीमतों में तफ़ावुत (फ़र्क़)हो और यह भी शर्त है कि दोनों के माल एक में खलत (मिला)कर दिए जायें (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर दोनों ने इस तरह शिरकत की कि माल दोनों का होगा मगर काम फ़क़त एक ही करेगा और नफ़अ् दोनों लेंगे और नफ़अ् की तक़सीम माल के हिसाब से होगी या बराबर लेंगे या काम करने वाले को ज़्यादा मिलेगा तो जाइज़ है और अगर काम न करने वाले को ज़्यादा मिलेगा तो शिरकत नाजाइज़ यूंहीं अगर यह ठहरी कि कुल नफ़अ् एक शख़्स लेगा तो शिरकत न हुई और अगर काम दोनों करें मगर एक ज़्यादा काम करेगा दूसरा कम और जो ज़्यादा काम करेगा नफ़अ् में उस का हिस्सा ज़्यादा क़रार पाया या बराबर क़रार पाया यह भी जाइज़ है(आलमगीरी, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ठहरा यह था कि काम दोनों करेंगे मगर सिर्फ़ एक ने किया दूसरे ने ब वजह उ़ज्र या बिला उ़ज्र कुछ न किया तो दोनों का करना क़रार पायेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक ने कोई चीज़ ख़रीदी तो बाइअ् (बेचने वाला) समन का मुतालबा उसी से कर सकता है उस के शरीक से नहीं कर सकता क्योंकि शरीक न आ़किद है न ज़ामिन फिर अगर ख़रीदार ने माले शिरकत से समन(क़ीमत)अदा किया जब तो ख़ैर और अगर अपने माल से समन अदा किया तो शरीक से बक़द्र उस के हिस़्से के रुजूअ् कर सकता है और यह हुक्म उस वक़्त है कि माले शिरकत नक़द की सूरत में मौजूद हो और अगर शिरकत का माल जो कुछ था वह सामाने तिजारत ख़रीदने में सर्फ़ किया जा चुका है और नक़द कुछ बाक़ी नहीं है तो अब जो कुछ ख़रीदेगा वह ख़ास ख़रीदार ही है शिरकत की चीज़ नहीं और उस का समन ख़रीदार को अपने पास से देना होगा और शरीक से रुजूअ् करने का हक़दार नहीं (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– एक ने कोई चीज़ ख़रीदी उस का शरीक कहता है कि यह शिरकत की चीज़ है और यह कहता है मैंने ख़ास अपने वास्ते ख़रीदी और शिरकत से पहले की ख़रीदी हुई है तो क़सम के साथ उसका क़ौल मोअ्तबर है और अगर अ़क़्दे शिरकत के बाद ख़रीदी और यह चीज़ उस नोअ् (क़िस्म)में से है जिसकी तिजारत पर अ़क़्दे शिरकत वाक़ेअ् हुआ है तो शिरकत ही की चीज़ क़रार पायेगी अगर्चे ख़रीदते वक़्त किसी को गवाह बना लिया हो कि मैं अपने लिए ख़रीदता हूँ क्योंकि जब उस नोअ् तिजा़रत पर अ़क़्दे शिरकत वाक़ेअ् हो चुका है तो उसे ख़ास अपनी ज़ात के लिए ख़रीदारी जाइज़ ही नहीं जो कुछ ख़रीदेगा शिरकत में होगा और अगर वह चीज़ उस जिन्से तिजारत से न हो तो ख़ास उस के लिए होगी (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अकसर ऐसा होता है कि हर एक शरीक अपनी शिरकत की दुकान से चीज़ें ख़रीदता है यह ख़रीदारी जाइज़ है अगर्चे बज़ाहिर अपनी ही चीज़ ख़रीदना है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अगर दोनों के माल ख़रीदारी के पहले हलाक होगये या एक का माल हलाक हुआ तो शिरकत बाति़ल होगई फिर माले मख़लूत़ (मिला हुआ)था तो जो कुछ हलाक हुआ है दोनों के ज़िम्मा है और मख़लूत़ न था तो जिस का था उस के ज़िम्मा और अगर अ़क़्दे शिरकत के बाद एक ने अपने माल से कोई चीज़ ख़रीदी और दूसरे का माल हलाक होगया और अभी इस से कोई चीज़ ख़रीदी नहीं गई है तो शिरकत बाति़ल नहीं और वह ख़रीदी हुई चीज़ दोनों में मुश्तरक है मुश्तरक मुश्तरी (ख़रीदार शरीक) अपने शरीक से बक़द्र शिरकत उस के समन से वुसूल कर सकता है और अगर अ़क़्दे शिरकत के बाद ख़रीदा मगर ख़रीदने से पहले शरीक का माल हलाक हो चुका है तो उसकी दो सूरतें हैं अगर दोनों ने बाहम सराहतन हर एक को वकील कर दिया है यह कह दिया है कि हम में जो कोई अपने उस माले शिरकत से जो कुछ ख़रीदेगा वह मुश्तरक(साझे की चीज़) होगी तो इस सूरत में वह चीज़ मुश्तरक (साझे की चीज़) होगी कि उसके हिस़्से की क़द्र चीज़ देदे और इस हिस़्से का समन ले ले और अगर स़राहतन वकील नहीं किया है तो इस चीज़ में दूसरे की शिरकत नहीं कि माल हलाक होने से शिरकत बाति़ल हो चुकी है और उस के ज़िम्न में जो वकालत थी वह भी बाति़ल है और वकालत की सराहत नहीं कि उस के ज़रीआ़ से शिरकत होती(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– शिरकते एनान में भी अगर नफ़्अ् के रुपये एक शरीक ने मुअ़य्यन कर दिए कि मसलन दस रुपये मैं नफ़्अ् के लूँगा तो शिरकत फ़ासिद है कि हो सकता है कुल नफ़्अ् इतना ही हो फिर शिरकत कहाँ हुई (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– उस में भी हर शरीक को इख़्तियार है कि तिजारत के लिए या माल की हिफ़ाज़त केलिए किसी को नौकर रखे बशर्ते कि दूसरे शरीक ने मनअ् न किया हो और यह भी इख़्तियार है किकिसी से मुफ़्त काम कराये कि वह काम कर दे और नफ़्अ् उस को कुछ न दिया जाये और माल को अमानत भी रख सकता है और मज़ारिबत के तौर पर भी दे सकता हे कि वह काम करे और नफ़्अ् में उस को निस्फ़ या तिहाई वग़ैरा का शरीक किया जाये और जो कुछ नफ़्अ् होगा उस में से मज़ारिब हिस्सा निकाल कर बाक़ी दोनों शरीकों में तक़सीम होगा और यह भी हो सकता है कि यह शरीक दूसरे से मज़ारिबत के तौर पर माल ले फिर अगर यह मज़ारिबत उसी चीज़ में है जो शिरकत की तिजारत से अ़लाहिदा है मसलन शिरकत कपड़े की तिजारत में थी और मज़ारिबत पर रुपये ग़ल्ला की तिजारत के लिए लिया है तो मज़ारिबत का जो नफ़्अ् मिलेगा वह ख़ास उसका होगा शरीक को उस में से कुछ न मिलेगा और अगर यह मज़ारिब उसी तिजारत में है जिस में शिरकत की है मगर शरीक की मौजूदगी में मज़ारिबत की जब भी मज़ारिबत का नफ़्अ् ख़ास उसी का है और अगर शरीक की ग़ीबत (अनुपस्थिति) में हो या मज़ारिबत में किसी तिजारत की क़ैद न हो तो जो कुछ नफ़्अ् मिलेगा शरीक भी उस में शरीक है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– शरीक को यह इख़्तियार है कि नक़्द या उधार जिस तरह मुनासिब समझे ख़रीद व फ़रोख़्त करे मगर शिरकत का रुपया नक़्द मौजूद न हो तो उधार ख़रीदने की इजाज़त नहीं जो कुछ उस सूरत में ख़रीदेगा ख़ास उस का होगा अल्बत्ता अगर शरीक उस पर राज़ी है तो उस में भी शिरकत होगी और यह भी इख़्तियार है कि अरज़ाँ या गिराँ (सस्ता या महंगा) फ़रोख़्त करे।(दुर्रे मुख़्तार रद्दुल, मुहतार)

मसअ्ला :– शरीक को यह इख़्तियार है कि माले तिजारत सफ़र में ले जाये जब कि शरीक ने उस की इजाज़त दी हो या यह कह दिया हो कि तुम अपनी राए से काम करो और मसारिफ़े सफ़र मसलन अपना या सामान का किराया और अपने खाने पीने के तमाम ज़रूरियात सब उसी माले शिरकत पर डाले जायें यानी अगर नफ़्अ् हुआ जब तो उजरत नफ़्अ् से मुजरा देकर बाक़ी नफ़्अ् दोनों मेंमुश्तरक होगा और नफ़्अ् न हुआ तो यह अख़राजात रासुलमाल में से दिए जायें (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– उन में से किसी को यह इख़्तियार नहीं कि किसी को उस तिजारत में शरीक करे हाँ अगर उसके शरीक ने इजाज़त देदी है तो शरीक करना जाइज़ है और उस वक़्त इस तीसरे के ख़रीद व फ़रोख़्त करने से कुछ नफ़्अ् हुआ तो यह शख़्स सालिस(तीसरा)अपना हिस्सा लेगा और इस के बाद जो कुछ बचेगा उस में वह दोनों शरीक हैं और उन दोनों में से जिसने उस तीसरे को शरीक नहीं किया है उस की ख़रीद व फ़रोख़्त से कुछ नफ़्अ् हुआ तो यह उन्हीं दोनों पर मुनक़सिम (बटेगा) होगा सालिस को इस में से कुछ न देंगे (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– शरीक को यह इख़्तियार नहीं कि बग़ैर इजाज़त माले शिरकत को किसी के पास रहन रख दे हाँ मगर उस सूरत में कि ख़ुद उस ने कोई चीज़ ख़रीदी थी जिस का समन बाक़ी और उस

दैन के मुकाबिल माले शिरकत को रहन (गिरवी) कर दिया तो यह जाइज है और अगर किसी दूसरे से ख़रीदवाया था या दोनों शरीकों ने मिलकर ख़रीदा था तो अब तन्हा एक शरीक उस दैन(कर्ज़) के बदले में रहन नहीं रख सकता यूँहीं अगर किसी शख़्स पर दैन था उस ने एक शरीक के पास रहन रख दिया तो यह रहन रख लेना भी बग़ैर इजाज़ते शरीक जाइज नहीं यानी अगर वह चीज उस शरीक मुरतहिन के पास हलाक हो गई और उसकी कीमत दैन के बराबर थी तो दूसरा शरीक उस मदयून (कर्ज़दार)से अपने हिस्सा की कद्र मुतालबा कर के ले सकता है फिर वह मदयून शरीके मुरतहिन (रहन रखने वाले) से यह रकम वापस लेगा और अगर चाहे तो गैर मुरतहिन खुद अपने शरीक ही से बकद्र हिस्सा के वुसूल करे और जिस सूरत में रहन रख सकता है उस में रहन का इक़रार भी कर सकता है कि मैंने फुलाँ के पास रहन रखा है या फुलाँ ने मेरे पास रहन रखा है और यह इक़रार दोनों पर नाफ़िज़ होगा और जहाँ रहन रख नहीं सकता उस में रहन का इक़रार भी नहीं कर सकता यानी अगर इक़रार करेगा तो तन्हा उस के हक़ में वह इक़रार नाफिज होगा शरीक से उस को तअल्लुक़ न होगा और अगर शिरकत दोनों ने तोड़दी तो अब रहन का इक़रार शरीक के हक़ में सहीह नहीं। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :— शिरकते इनान में अगर एक ने कोई चीज बैअ् की है तो उस के समन का मुतालबा उस का शरीक नहीं कर सकता यानी मदयून (कर्ज़दार)उस को देने से इन्कार कर सकता है यूँहीं शरीक न दअ्वा कर सकता है न उस पर दअ्वा हो सकता है बल्कि दैन के लिए कोई मीआद भी नहीं मुकर्रर कर सकता जब कि आक़िद कोई और शख़्स है या दोनों आक़िद हों और खुद तन्हा यही आक़िद है तो मीआद मुकर्रर कर सकता है (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :— शरीक के पास जो कुछ माल है उस में वह अमीन है लिहाज़ा अगर यह कहता है कि तिजारत में नुक़सान हुआ या कुल माल या इतना ज़ाइअ् हो गया या इस क़द्र नफ़अ् मिला या शरीक को मैंने माल देदिया तो कसम के साथ उस का क़ौल मोअ्तबर है और अगर नफ़अ् की कोई मिक़दार उसने पहले बताई फिर कहता है कि मुझ से ग़लती हो गई उतनी नहीं बल्कि इतनी है मसलन पहले कहा दस रुपये नफ़अ् के हैं फिर कहता है कि दस नहीं बल्कि पाँच है तो चूँकि इक़रार कर के रुजूअ् कर रहा है लिहाज़ा उस की पिछली बात मानी न जायेगी कि इक़रार से रुजूअ करता है और इस का उसे हक़ नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :— एक ने कोई चीज़ बेची थी और दूसरे ने उस बैअ् का इक़ाला(फ़स्ख़) कर दिया तो यह इक़ाला जाइज़ है और अगर ऐब की वजह से वह चीज़ ख़रीदार ने वापस कर दी और बग़ैर कज़ा काज़ी उस ने वापस लेली या ऐब की वजह से समन से कुछ कम कर दिया या समन को मुअख़्ख़र कर दिया तो यह तसर्रुफ़ात दोनों के हक़ में जाइज़ व नाफ़िज़ होंगे(आलमगीरी)

मसअ्ला :— एक ने कोई चीज़ ख़रीदी है और उस में कोई ऐब निकला तो खुद यह वापस करसकता है उस के शरीक को वापस करने का हक़ नहीं या एक ने किसी से उजरत पर कुछ काम कराया है तो उजरत का मुतालबा उसी से होगा शरीक से मुतालबा नहीं किया जा सकता

मसअला :– एक ने किसी की कोई चीज़ ग़सब कर ली या हलाक कर दी तो उसका मुतालबा मुवाख़िज़ा उसी से होगा उसके शरीक से न होगा और बतौर बैअ् फासिद कोई चीज ख़रीदी और उस के पास से हलाक होगई तो उस को तावान देना पड़ेगा मगर जो कुछ तावान देगा उस का निस्फ़ यानी बकद्र हिस्सा शरीक से वापस लेगा कि वह चीज़ शिरकत की है और तावान दोनों पर है(मबसूत)

मसअला :– दोनों ने मिलकर तिजारत का सामान ख़रीदा था फिर एक ने कहा मैं तेरे साथ शिरकत में काम नहीं करता यह कह कर ग़ाइब हो गया दूसरे ने काम किया तो जो कुछ नफ़अ् हुआ तन्हा इसी का है और शरीक के हिस्से की क़ीमत का ज़ामिन है यानी उस माल की उस रोज़ जो क़ीमत थी उस के हिसाब से शरीक के हिस्से का रुपया देदे नफ़अ् नुक़सान से उस को कुछ वास्ता नहीं। (ख़ानिया)

मसअला :– माले शिरकत में तअ़द्दी की यानी वह काम किया जो करना जाइज़ न था और उसकीवजह से माल हलाक हो गया तो तावान देना पड़ेगा मसलन उस के शरीक ने कह दिया था कि माल लेकर परदेस को न जाना फ़ुलाँ जगह माल ले कर जाओ मगर वहाँ से आगे दूसरे शहर को न जाना और यह परदेस माल लेकर चला गया या जो जगह बताई थी वहाँ से आगे चला गया यह कहा था उधार न बेचना उस ने उधार बेच दिया तो इन सूरतों में जो कुछ नुक़सान होगा उस का ज़िम्मा दार यह ख़ुद है शरीक को उस से तअ़ल्लुक़ नहीं(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– उस के पास जो कुछ शिरकत का माल था उसे बग़ैर बयान किए मरगया या लोगों के ज़िम्मा शिरकत की बक़ाया थी और यह बग़ैर बयान किए मर गया तो तावान देना पड़ेगा कि यह अमीन था और बयान न कर जाना अमानत के ख़िलाफ़ है और उस की वजह से तावान लाज़िम हो जाता है मगर जब कि वुरसा जानते हों कि यह चीज़ें शिरकत की हैं या शिरकत की तिजारत काफ़ुलाँ फ़ुलाँ शख़्स पर इतना इतना बाक़ी है तो उस वक़्त बयान करने की ज़रूरत नहीं और तावान लाज़िम नहीं और अगर वारिस कहता है मुझे इल्म है और शरीक मुनकिर है और वारिस तमाम अशया(चीज़ों) की तफ़सील बयान करता है और कहता कि है यह चीज़ें थीं और हलाक व ज़ाइअ् हो गईं तो वारिस का क़ौल मान लिया जायेगा (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– शरीक ने उधार बेचने से मनअ् कर दिया था और उस ने उधार बेचदी तो उस के हिस्सा में बैअ् नाफ़िज़ है और शरीक के हिस्से की बैअ् मौक़ूफ़ है अगर शरीक ने इजाज़त दे दी कुल में बैअ् हो जायेगी और नफ़अ् में दोनों शरीक हैं और इजाज़त न दी तो शरीक के हिस्से की बैअ् बातिल होगई (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– शरीक ने परदेस में माले तिजारत ले जाने से मनअ् कर दिया था मगर यह न माना और ले गया और वहाँ नफ़अ् के साथ फ़रोख़्त किया तो चूँकि शरीक की मुख़ालिफ़त करने से ग़ासिब हो गया और शिरकत फ़ासिद हो गई लिहाज़ा नफ़अ् सिर्फ़ उसी को मिलेगा और माल ज़ाइअ् होगा तो तावान देना पड़ेगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– शरीक पर ख़ियानत का दअ़्वा करे तो अगर दअ़्वा सिर्फ़ इतना है कि उस ने ख़ियानत की यह नहीं बताता कि क्या ख़यानत की तो शरीक पर हल्फ़ न देंगे हाँ अगर ख़ियानत की तफ़सील बताता है तो उस पर हल्फ़ देंगे और हल्फ़ के साथ उस का क़ौल मोअ़्तबर होगा (रद्दुल मुहतार)

शिरकत बिल अ़मल (काम में शरीक होना)के मसाइल

मसअ्ला :– शिरकत बिल अ़मल उसी को शिरकत बिलअ़ब्दान और शिरकते तक़ब्बुल व शिरकते सनाइअ् भी कहते हैं वह यह है कि दो कारीगर लोगों के यहाँ से काम लायें और शिरकत में काम करें और कुछ जो मज़दूरी मिले आपस में बाँट लें (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– उस शिरकत में यह जरूर नहीं कि दोनों एक ही काम के कारीगर हों बल्कि दो मुख़्तलिफ कामों के कारीगर भी बाहम यह शिरकत कर सकते हैं मसलन एक दरज़ी है दूसरा रंगरेज़ दोनों कपड़े लाते हैं वह सिलता है यह रंगता है और सिलाई रंगाई की जो कुछ उजरत मिलती है उस में दोनों की शिरकत होती है और यह भी ज़रूरी नहीं कि दोनों एक ही दुकान में काम करें बल्कि दोनों की अलग अलग दुकानें हों जब भी शिरकत हो सकती है मगर यह ज़रूरी है कि वह काम ऐसे हों कि अ़क्द इजारा की वजह से उस काम का करना उन पर वाजिब हो और अगर काम ऐसा न हो मसलन हराम काम पर इजारा हुआ जैसे दो नोहा करने वालियाँ कि उजरत लेकर नोहा करती हों उन्हें बाहम शिरकते अ़मल हो तो न उन का इजारा सहीह है न उनमें शिरकत सहीह (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– तअ्लीमे क़ुर्आन व इल्मे दीन और अज़ान व इमामत पर चूँकि बर बिना क़ौले मुफ़्ती (मुफ़्ती के फ़रमाने के मुताबिक़) यह उजरत लेना जाइज़ है उस में शिरकते अ़मल भी हो सकती है(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– शिरकते अ़मल में हर एक दूसरे का वकील होता है लिहाज़ा जहाँ तोकील(वकील बनाना)दुरुस्त न हो यह शिरकत भी सहीह नहीं मसलन चन्द गदागरों(फ़क़ीरों) ने बाहम शिरकते अ़मल की तो यह सहीह नहीं कि सवाल की तोकील दुरुस्त नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– उस में यह ज़रुरी नहीं कि जो कुछ कमाये उस में बराबर के शरीक हों बल्कि कम व बेश की भी शर्त हो सकती है और बाहम जो कुछ शर्त कर लें उसी के मुवाफ़िक़ तक़सीम होगी यूँहीं अ़मल में भी बराबर शर्त नहीं बल्कि अगर यह शर्त करलें कि वह ज़्यादा काम करेगा और यह कम जब भी जाइज़ है और कम काम वाले को अमदनी में ज़्यादा हिस्सा देना ठहरा लिया जब भी जाइज़ है। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– यह ठहरा है कि आमदनी में से मैं दो तिहाई लूँगा और तुझे एक तिहाई दूँगा और अगर कुछ नुक़सान व तावान देना पड़ेगा तो दोनों बराबर बराबर देंगे तो आमदनी उसी शर्त के बमोजिब तक़सीम होगी और नुक़सान में बराबरी की शर्त बातिल है उस में भी उसी हिसाब से तावान देना होगा यानी एक तिहाई वाला एक तावान तिहाई दे और दूसरा दो तिहाईयाँ (आलमगीरी)

मसअ्ला :– जो काम उजरत का उन में एक शख़्स लायेगा वह दोनों पर लाज़िम होगा लिहाज़ा जिस ने काम दिया है वह हर एक से काम का मुतालबा कर सकता है शरीक यह नहीं कह सकता है कि काम वह लाया है उस से कहो मुझे उस से तअ़ल्लुक़ नहीं यूँहीं हर एक उजरत का मुतालबा भी कर सकता है और काम वाला उनमें जिस को उजरत देदेगा बरी हो जायेगा दूसरा उस से अब उजरत का मुतालबा नहीं कर सकता यह नहीं कह सकता कि उस को तुम ने क्यों दिया (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– दोनों में से एक ने काम किया है और दूसरे ने कुछ न किया मसलन बीमार था या सफ़र में चला गया था जिसकी वजह से काम न कर सका या बिला वजह क़स्दन उसने काम न किया जब भी आमदनी दोनों पर मुआहिदा के मुवाफ़िक़ तक़सीम होगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– यह हम पहले बता चुके हैं कि शिरकते अ़मल कभी मुफ़ाविज़ा होती है और कभी शिरकते इनान लिहाज़ा अगर मुफ़ाविज़ा का लफ़्ज़ या उस के मअ़ना का ज़िक्र कर दिया यानी कह दिया कि दोनों काम लायेंगे और दोनों बराबर के ज़िम्मा दार हैं और नफ़अ़ नुक़सान में दोनों बराबर के शरीक हैं और शिरकत की वजह से जो कुछ मुतालबा होगा उस में हर एक दूसरे का कफ़ील है तो शिरकत मुफ़ाविज़ा है और अगर काम और आमदनी या नुक़सान में बराबरी की शर्त न हो या लफ़्ज़े इनान ज़िक्र कर दिया हो तो शिरकते इनान है (आलमगीरी)

मसअला :– मुतलक़ शिरकत ज़िक्र की न मुफ़ाविज़ा ज़िक्र किया न इनान न किसी के मअ़ना का बयान किया तो उस में बाज़ अहकाम इनान के होंगे मसलन किसी ऐसे दैन(क़र्ज़) का इक़रार किया कि शिरकत के काम के लिए मैं फ़ुलाँ चीज़ लाया था और वह ख़र्च हो चुकी और उस के दाम देने हैं या फ़लाँ मज़दूर की मज़दूरी बाक़ी है या फ़ुलाँ गुज़शता महीना का दुकान का किराया बाक़ी है तो अगर गवाहों से साबित कर दे जब तो उस के शरीक के ज़िम्मा भी है वरना तन्हा उसी के ज़िम्मा होगा और बाज़ अहकाम मुफ़ाविज़ा के होंगे मसलन किसी ने एक को या दोनों को कोई काम दिया है तो हर एक से वह मुतालबा कर सकता है और अगर एक पर कोई तावान लाज़िम होगा तो दूसरे से भी उस का मुतालबा होगा (आलमगीरी)

मसअला :– बाप बेटे मिलकर काम करते हों और बेटा बाप के साथ रहता हो तो जो कुछ आमदनी होगी वह बाप ही की है बेटा शरीक नहीं क़रार पायेगा बल्कि मददगार तसव्वुर किया जायेगा यहाँ तक कि बेटा अगर दरख़्त लगाये तो वह भी बाप ही का है यूँहीं मियाँ बीवी मिलकर करें और उन के पास कुछ न था मगर दोनों ने काम कर के बहुत कुछ जमअ़ कर लिया तो यह सारा माल शौहर ही का है और औ़रत मददगार समझी जायेगी हाँ अगर औ़रत का काम जुदागाना है मसलन मर्द किताबत का काम करता है और औ़रत सिलाई करती है तो सिलाई की जो कुछ आमदनी है उस की मालिक औ़रत है (आलमगीरी)

मसअला :– एक शख़्स ने दर्ज़ी को यह कहकर कपड़ा दिया कि उसे तुम ख़ुद ही सीना और उस दर्ज़ी का कोई शरीक है कि दोनों में शिरकते मुफ़ाविज़ा है तो कपड़ा देने वाला उन दोनों में जिस से चाहे मुतालबा कर सकता है और अगर शिरकत टूट गई या जिस को उस ने कपड़ा दिया था मर गया तो अब दूसरे से सीने का मुतालबा नहीं कर सकता और अगर यह नहीं कहा था कि तुम ख़ुद ही सीना तो मरने और शिरकत जाती रहने के बाद भी दूसरे से मुतालबा कर सकता है कि उसे सीकर दे (आलमगीरी)

मसअला :– दो शरीक हैं उन पर किसी ने दअ़वा किया कि मैंने उन को सीने के लिए कपड़ा दिया था उन में एक इक़रार करता है दूसरा इन्कार तो वह इक़रार दोनों के हक़ में हो गया (आलमगीरी)

मसअला :– तीन शख़्स जो बाहम शरीक नहीं हैं उन तीनों ने किसी से काम लिया कि हम सब

उस काम को करेंगे मगर वह काम तन्हा एक ने किया बाक़ी दो ने नहीं किया तो उस को सिर्फ़ एक तिहाई उजरत मिलेगी कि इस सूरत में एक तिहाई काम का यह ज़िम्मा दार था बक़िया दो तिहाईयों का न उस से मुतालबा हो सकता था न उस के इजारा में है तो जो कुछ उस ने किया बतौर ततव्वुअ् किया और उस की उजरत का मुस्तहक़ नहीं (आलमगीरी) यह हुक्म कि सिर्फ़ एक तिहाई उजरत मिलेगी क़ज़ाअन है और दियानत का हुक्म यह है कि पूरी उजरत उसे दे दी जाये क्योंकि उस ने पूरा काम यही ख़याल कर के किया कि मुझे पूरी मज़दूरी मिलेगी और अगर उसे मालूम होता है कि एक ही तिहाई मिलेगी तो हरगिज़ काम अन्जाम न देता (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अकसर ऐसा होता है कि जो किसी काम का उस्ताद होता है वह अपने शागिर्दों को दुकान पर बिठा लेता है कि ज़रूरी काम उस्ताज़ करते हैं और बाक़ी सब काम शागिर्दों से लेते हैं अगर इन उस्तादों ने शागिर्दों के साथ शिरकते अमल की मसलन दर्ज़ी ने अपनी दुकान पर शागिर्द को बिठा लिया कि कपड़ों को उस्ताद क़तअ् (काटेगा)कर देगा और शागिर्द सियेगा और उजरत जो होगी उस में बराबर के दोनों शरीक होंगे या कारीगर ने अपनी दुकान पर किसी को काम करने के लिए बैठा लिया कि उसे काम देता है और उजरत निस्फ़न निस्फ़ (आधी–आधी)लेते हैं यह जाइज़ है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर यूँही शिरकत हुई कि एक के औज़ार होंगे और दूसरे का मकान या दुकान और दोनों मिलकर काम करेंगे तो शिरकत जाइज़ है और यूँ हुई कि एक के औज़ार होंगे और दूसरा काम करेगा तो यह शिरकत नाजाइज़ है(रद्दुल मुहतार)

शिरकते वुजूह के अहकाम

मसअ्ला :– शिरकते वुजूह यह है कि दोनों बग़ैर माल अक़्दे शिरकत करें कि अपनी वजाहत और आबरु की वजह से दुकानदारों से उधार ख़रीद लायेंगे और माल बेचकर उन के दाम देदेंगे और जो कुछ बचेगा वह दोनों बाँट लेंगे और उस की भी दो क़िस्में मुफ़ाविज़ा व इनान हैं और दोनों की सूरतें भी वही हैं जो ऊपर मज़कूर हुईं और मुतलक़ शिरकत मज़कूर हो तो इनान होगी और उस में भी अगर मुफ़ाविज़ा है तो हर एक दूसरे का वकील भी है और कफ़ील भी और इनान है तो सिर्फ़ वकील ही है कफ़ील नहीं (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– नफ़अ् में यहाँ भी बराबरी ज़रूर नहीं अगर शिरकते इनान है तो नफ़अ् में बराबरी या कम या बेश जो चाहे शर्त कर लें मगर यह ज़रुर है कि नफ़अ् में वही सूरत हो जो ख़रीद की हुई चीज़ में मिल्क की सूरत में हो मसलन अगर वह चीज़ एक की दो तिहाई होगी और एक की एक तिहाई तो नफ़अ् भी उसी हिसाब से होगा और अगर मिल्क में कम व बेश है मगर नफ़अ् में मसावात (बराबरी)या नफ़अ् कम व बेश है और मिल्क में बराबरी तो यह शर्त बातिल व नाजाइज़ है और नफ़अ् उसी मिल्क के हिसाब से तक़सीम होगा (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी)

शिरकते फ़ासिदा का बयान

मसअ्ला :– मुबाह चीज़ के हासिल करने के लिए शिरकत की यह नाजाइज़ है मसलन जंगल की लकड़ियाँ या घास काटने की शिरकत की कि जो कुछ काटेंगे वह हम दोनों में मुश्तरक होगी या शिकार करने या पानी भरने में शिरकत की या जंगल और पहाड़ के फल चुनने में शिरकत की या जाहिलियत(यानी ज़माना कुफ़्र)के दफ़ीने निकालने में शिरकत की या मुबाह ज़मीन से मिट्टी उठा

हमे बड़ी मुसर्रत हो रही है कि अल्लाह त'आला और उसके हबीब सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम के हुक्म फ़ज़्ल-ओ-करम से और बुज़ुर्गाने दीन सिलसिला-ए-क़ादिरिया बिलख़ुसूस पिराने पीर दस्तगीर हुज़ूर ग़ौस-ए-आज़म शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रादिअल्लाहु त'आला अन्हू के फ़ैज़ से क़िताब बहार-ए-शरीअत (हिस्सा 01 से 10) हिंदी में पीडीएफ [PDF] में आप की खिदमत में पेश की जा रही है।

ज़माना-ए- क़दीम से अवमुन्नास की इस्लाहे हाल और हिदायते उख़रवी व दुनयवी के लिए हक़ सदाक़त के जाम की फ़राहमी की जाती रही हैं और ये इलतेज़ाम ख़ालिक़-ए-क़ायनात जल्ला जलालहु ने ब अहसान अपनी मख़लूक़ के लिए फ़रमाया है। अम्बिया व मुर्सलीन के बेहतरीन दौर के बाद उसने यह ख़िदमत अपने मुक़र्रबीन रिज़वानुल्लाह त'आला अलैहिम अजमईन के सुपुर्द की और यह सिलसिला अला हालही जारी व सारि है।

मज़हब-ए-इस्लाम अल्लाह त'आला का पसंदीदा दीन है । ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नही जिसके लिए इस्लाम ने हमे क़ानून न दिया हो ।

आज जिस दौर से हम गुज़र रहे है हमारा मुस्लिम तबका उर्दू की तरफ ध्यान नही दे रहा है और नई नस्ल तो बिल्कुल ही उर्दू से नावाक़िफ़ होती जा रही है । नतीजे के तौर पर दीनी और मज़हबी दिलचस्पियाँ कम हो रही है और हम अपने हाल को ग़ैर मुंज़बित तरीके पे छोड़े रहते है ।

लिहाज़ा ये किताब हिंदी में लिखी गई है और आप सब की आसानी के लिए हम ने इस किताब को पीडीएफ फ़ाइल में आप की ख़िदमत में पेश किया है।
आप सब से हमारी गुज़ारिश है कि अपनी मसरूफ ज़िन्दगी में से रोज़ाना वक़्त निकाल कर बुज़ुर्गो की तस्नीफ़ करदा किताबो को मुताला में रखें , इंशा अल्लाह त'आला दीन और दुनिया दोनो में मक़बूल होंगे।

दुआओं के तलबगार

वसीम अहमद रज़ा खान और साथी

+91-8109613336

लाने में शिरकत की या ऐसी मिट्टी की ईंट बनाने या ईंट पकाने में शिरकत की यह सब शिरकतें फ़ासिद व नाजाइज़ हैं और इन सब सूरतों में जो कुछ जिस ने हासिल किया है उसी का है और अगर दोनों ने एक साथ हासिल किया और मालूम न हो कि किस का हासिल किया हुआ कितना है कि जो कुछ हासिल किया वह मिला दिया है और पहचान नहीं है तो दोनों बराबर के हिस्से दार हैं चाहे चीज़ की तक़सीम कर लें या बेचकर दाम बराबर बराबर बाँट लें इस सूरत में अगर कोई अपना हिस्सा ज़्यादा बताता हो तो उस का एअ्तिबार नहीं जब तक गवाहों से साबित न कर दे।

मसअ्ला :– मिट्टी किसी की मिल्क है और दो शख़्सों ने इस से ईंट बनाने या पकाने की शिरकत की तो यह सहीह है कि इस का मतलब यह है कि उस से मिट्टी ख़रीद कर ईंट बनायेंगे और उस को पकायेंगे और ईंटें बेचकर मालिक को क़ीमत देदेंगे और जो नफ़अ् होगा वह हमारा है और इस सूरत में यह शिरकते वुजूह होगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– दो शख़्सों ने मुबाह चीज़ के हासिल करने में अक़्दे शिरकत किया और एक ने उस को हासिल किया और दूसरा उस का मुईन व मददगार रहा मसलन एक ने लकड़ियाँ काटीं दूसरा जमअ् करता रहा उस के गठ्ठे बाँधे उसे उठा कर बाज़ार वग़ैरा ले गया या एक ने शिकार पकड़ा दूसरा जाल उठा कर ले गया या और काम किये तो इस सूरत में भी चूँकि शिरकत सहीह नहीं मालिक वही है जिस ने हासिल किया यानी मसलन जिस ने लकड़ियाँ काटीं या जिसने शिकार पकड़ा और दूसरे को उसके काम की उजरते मिस्ल (इन काम करने की जो उजरत है वह देना काफ़ी –क़ादरी)दी जायेगी और जाल तानने में शरीक ने मदद की और शिकार हाथ नहीं आया जब भी उसकी उजरते मिस्ल मिलेगी (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी)

मसअ्ला :– शिकार करने में दोनों ने शिरकत की और दोनों का एक ही कुत्ता है जिस को दोनों ने शिकार पर छोड़ा या दोनों ने मिलकर जाल ताना तो शिकार दोनों में निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम होगा और अगर कुत्ता एक का था और उसी के हाथ में था मगर छोड़ा दोनों ने तो शिकार का मालिक वही है जिस का कुत्ता है मगर उस ने अगर दूसरे को बतौर आ़रियत(किराये पर) कुत्ता देदिया है तो दूसरा मालिक होगा और अगर दोनों के दो कुत्ते हैं और दोनों ने मिलकर एक शिकार पकड़ा तो बराबर बराबर बाँट लें और हर एक कुत्ते ने एक एक शिकार पकड़ा तो जिस के कुत्ते ने जो शिकार पकड़ा उस का वही, मालिक है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– गदागरों (भिकारियों)ने अक़्दे शिरकत किया कि जो कुछ माँग लायेंगे वह दोनों में मुश्तरक होगा यह शिरकत सहीह नहीं और जिसने जो कुछ माँग कर जमअ् किया वह उसी का है(आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर शिरकते फ़ासिदा में दोनों शरीकों ने माल की शिरकत की है तो हर एक कोनफ़अ् बक़द्र माल के मिलेगा और काम की कोई उजरत नहीं मिलेगी मसलन दोनों ने एक एक हज़ार के साथ शिरकत की और एक ने यह शर्त लगादी है कि मैं दस रुपये नफ़अ् के लूँगा इस शर्त की वजह से शिरकत फ़ासिद होगई और चूँकि माल बराबर है लिहाज़ा नफ़अ् बराबर तक़सीम कर लें और फ़र्ज़ करो कि सूरते मज़कूरा में एक ही ने काम किया हो जब भी काम का मुआ़विज़ा न मिलेगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– शिरकते फ़ासिदा में अगर एक ही का माल हो तो जो कुछ नफ़अ् हासिल होगा उसी

माल वाले को मिलेगा और दूसरे को काम की उजरत दी जायेगी मसलन एक शख़्स ने अपना जानवर दूसरे को दिया कि उस को किराये पर चलाओ और किराये की आमदनी आधी आधी दोनों लेंगे यह शिरकत फ़ासिद है और कुल आमदनी मालिक को मिलेगी और दूसरे को अज्रे मिस्ल(काम की मजदूरी जितनी उस जैसे काम की मिलती हो कादरी)यूँही कश्ती चन्द शख़्सों को देदी कि उस से काम करें और आमदनी मालिक और काम करने वालों पर बराबर तक़सीम हो जायेगी तो यह शिरकत फ़ासिद है और उस का हुक्म भी वही है (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– एक शख़्स के पास ऊँट है दूसरे के पास ख़च्चर दोनों ने उन्हें उजरत पर चलाने की शिरकत की यह शिरकत फ़ासिद है और जो कुछ उजरत मिलेगी उस को ख़च्चर और ऊँट पर तक़सीम करदेंगे ऊँट की उजरते मिस्ल ऊँट वाले को और ख़च्चर की उजरते मिस्ल ख़च्चर वाले को मिलेगी और अगर ख़च्चर और ऊँट को किराये पर चलाने की जगह ख़ुद उन दोनों ने बार बरदारी पर शिरकते अ़मल की कि बारबरदारी करेंगे और आमदनी बहिस्सा मसावी बाँट लेंगे तो यह शिरकत सहीह है अब अगर्चे एक ने ख़च्चर ला कर बोझा लादा और दूसरे ने ऊँट पर बोझ लादा दोनों को हस्बे शर्त बराबर हिस्सा मिलेगा (आलमगीरी रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– एक ने दूसरे को अपना जानवर दिया कि उस पर तुम अपना सामान लाद कर फेरी करो जो नफ़अ् होगा उस को बहिस्सा मसावी तक़सीम करेंगे यह शिरकत भी फ़ासिद है नफ़अ् का मालिक वह है जिस ने फेरी की और जानवर वाले को उजरते मिस्ल देंगे यूँहीं अपना जाल दूसरे को मछली पकड़ने के लिए दिया कि जो मछली मिलेगी उसे बराबर बाँट लेंगे तो मछली उसी को मिलेगी जिस ने पकड़ी और जाल वाले को उजरते मिस्ल मिलेगी दुर्रे मुख़्तार (आलमगीरी)

मसअ्ला :– चन्द हम्मालों (कुली)ने यूँ शिरकत की कि कोई बोरी में ग़ल्ला भरेगा और कोई उठा कर दूसरे की पीठ पर रखेगा और कोई मालिक के घर पहुँचायेगा और मज़दूरी जो कुछ मिलेगी उसे सब बहिस्से–ए–मसावी(बराबर–बराबर) तक़सीम करेंगे तो यह शिरकत भी फ़ासिद है(आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक शख़्स की गाय है उस ने दूसरे को दी कि वह उसे पाले चारा खिलाये निगेहदाश्त करे और जो बच्चा उस से पैदा हो उस में दोनों निस्फ़ निस्फ़ के शरीक होंगे तो यह शिरकत भी फ़ासिद है बच्चा उस का होगा जिसकी गाय है और दूसरे को उसी के मिस्ल चारा दिलाया जायेगा जो उसे खिलाया या और निगेहदाश्त वग़ैरा जो काम किया है उसकी उजरते मिस्ल मिलेगी यूँहीं बकरियाँ चरवाहों को जो इस तरह देते हैं कि वह चराये और निगेहद्राश्त(देख रेख) करे और बच्चों में दोनों शरीक होंगे यह उजरत भी फ़ासिद है बच्चा उस का है जिसकी बकरी है और चरवाहे को चरवाही और निगेहदाश्त की उजरते मिस्ल मिलेगी या मुर्ग़ी दूसरे को दे देते हैं कि अन्डे जो होंगे वह निस्फ़ निस्फ़ दोनों के होंगे या मुर्ग़ी और अन्डे बिठाने के लिए दूसरे को देते हैं कि बच्चे हो कर जब बड़े हो जायेंगे तो दोनों बहिस्सा मसावी तक़सीम करलेंगे यह शिरकत भी फ़ासिद है और उस का भी वही हुक्म है उस के जवाज़ की यह सूरत हो सकती है कि गाय, बकरी, मुर्ग़ी वग़ैरा में आधी दूसरे के हाथ बेचडाले अब चूँकि उन जानवरों में शिरकत होगई बच्चे भी मुश्तरक होंगे(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– दोनों शरीकों में कोई भी मर जाये उस की मौत का इल्म शरीक को हो या न हो बहर हाल शिरकत बातिल हो जायेगी यह हुक्म शिरकते अ़क़्द का है और शिरकते मिल्क अगर्चे मौत से

बातिल नहीं होती मगर बजाए मय्यत अब उस के वुरसा शरीक होंगे (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– तीन शख़्सों में शिरकत थी उन में एक का इन्तिकाल हो गया तो दो बाक़ियों में बदस्तूर शिरकत बाक़ी है (बहर)

मसअला :– शरीकों में से मआज़ल्लाह कोई मुरतद हो कर दारुलहर्ब को चला गया और क़ाज़ी ने उस के दारुल हर्ब में लुहूक़ (मिलने)का हुक्म भी देदिया तो यह हुक्मन मौत है और उस से भी शिरकत बातिल हो जाती है कि अगर वह फिर मुस्लिम होकर दारुलहर्ब से वापस आया तो शिरकत ऊद न करेगी (यानी पुरानी शिरकत न होने की तरह मानी जायेगी–क़ादरी)और अगर मुरतद हुआ मगर अभी दारुलहर्ब को नहीं गया या चला भी गया मगर क़ाज़ी ने अबतक लुहूक़ नहीं दिया है तो शिरकत बातिल होने का हुक्म न देंगे बल्कि अभी मौक़ूफ़ रखेंगे अगर मुसलमान हो गया तो शिरकत बदस्तूर है और अगर मर गया या क़त्ल किया गया तो शिरकत बातिल हो गई(आलमगीरी)

मसअला :– दोनों में एक ने शिरकत को फ़स्ख़ कर दिया अगर्चे दूसरा इस फ़स्ख़ पर राज़ी न हो जब भी शिरकत फ़स्ख़ हो गई बशर्ते कि दूसरे को फ़स्ख़ करने का इल्म हो और दूसरे को मालूम न हुआ तो फ़स्ख़ न होगी और यह शर्त नहीं कि माले शिरकत रुपया अशरफ़ी हो बल्कि अगर तिजारत के सामान मौजूद हैं जो फ़रोख़्त नहीं हुए एक ने फ़स्ख़ कर दिया जब भी फ़स्ख़ हो जायेगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– एक शरीक ने शिरकत से इन्कार कर दिया यानी कहता है मैंने तेरे साथ शिरकत की ही नहीं तो शिरकत जाती रही और जो कुछ शिरकत का माल उस के पास है उस में शरीक के हिस्से का तावान देना होगा कि शरीक अमीन होता है और अमानत से इन्कार ख़यानत है और तावान लाज़िम और अगर शिरकत से इन्कार नहीं करता बल्कि कहता है कि मैं तेरे साथ काम न करूँगा तो यह भी फ़स्ख़ ही है शिरकत जाती रहेगी और अमवाले शिरकत की क़ीमत अपने हिस्से के मुवाफ़िक़ शरीक से लेगा और शरीक ने अमवाल को बेचकर कुछ मुनाफ़ेअ़ हासिल किए तो मनफ़अ़त से उसे कुछ न मिलेगा (दुर्रे मुख़्तार आलमगीरी)

मसअला :– तीन शख़्सों में शिरकते मुफ़ाविज़ा है उन में दो शिरकत को तोड़ना चाहते हों तो जब तक तीसरा भी मौजूद न हो शिरकत तोड़ नहीं सकते (आलमगीरी)

मसअला :– अगर एक शरीक पागल हो गया और जुनून भी मुतमद्दिद (लम्ब समय तक) है तो शिरकत जाती रही और दूसरे शरीक ने बादे इमतिदादे जुनून (जुनून का बहुत ज़माने)जो कुछ तसर्रुफ़ किया यानी शिरकत की चीज़ें फ़रोख़्त की और नफ़अ़ मिला तो सारा नफ़अ़ उसी का है मगर मजनून के हिस्सा में जो नफ़अ़ आता उसे तसद्दुक़ (सदका)कर देना चाहिए कि मिल्के ग़ैर में बग़ैर इजाज़त तसर्रुफ़ कर के नफ़अ़ हासिल किया है और बुतलाने शिरकत की दूसरी सूरतों में भी ज़ाहिर यही है कि शरीक के हिस्से के मक़ाबिल में जो नफ़अ़ है उसे तसद्दुक़ कर दे(दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

शिरकत के मुतफ़र्रिक़ मसाइल

मसअला :– शरीक को यह इख़्तियार नहीं कि बग़ैर उस की इजाज़त के उस की तरफ़ से ज़कात अदा करे अगर ज़कात देगा तावान देना पड़ेगा और ज़कात अदा न होगी और अगर हर एक ने दूसरे को ज़कात देने की इजाज़त दी है अपनी और शरीक दोनों की ज़कात देदी तो अगर यह देना

बएक वक़्त हो तो हर एक को दूसरे की ज़कात का तावान देना होगा और दोनों बाहम मुक़ास्सा (अदला– बदला) कर सकते हैं कि न मैं तुम को तावान दूँ न तुम मुझ को जब कि दोनों ने एक मिक़दार से ज़कात अदा की हो यानी मसलन उस ने इस की तरफ़ से दस रुपये दिए और इस ने उस की तरफ़ से दस रुपये दिये और अगर एक ने दूसरे की तरफ़ से ज़्यादा दिया है और दूसरे ने उस की तरफ़ से कम तो ज़्यादा को वापस ले और बाक़ी में मुक़ास्सा करलें और अगर बएक वक़्त देना न हुआ एक ने पहले देदी दूसरे ने बाद को तो पहले वाला कुछ न देगा और बाद वाला तावान दे बाद वाले को मालूम हो कि उस ने ख़ुद ज़कात दे दी है या मालूम न हो बहर हाल तावान उसके ज़िम्मा है यूँहीं अलावा शरीक के किसी और को ज़कात या कफ़्फ़ारा के लिए उस ने मामूर किया था और उस ने ख़ुद उस के पहले या बयक वक़्त अदा कर दिया तो मामूर (जिस को हुक्म दिया गया हो)का अदा करना सहीह न होगा और तावान देना पड़ेगा (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार तबईईन)

मसअला :– दो शख़्सों में शिरकते मुफ़ावज़ा है एक ने दूसरे से वती करने के लिए कनीज़ ख़रीदने की इजाज़त माँगी दूसरे ने सरीह लफ़्ज़ों (साफ़ लफ़्ज़ों में) में इजाज़त देदी उसने ख़रीद ली तो यह कनीज़ मुश्तरक न होगी बल्कि तन्हा उस की है और शरीक की तरफ़ से उस को हिबा समझा जायेगा मगर बाइअ् हर एक से समन का मुतालबा कर सकता है और अगर शरीक ने साफ़ लफ़्ज़ों में इजाज़त न दी मसलन सुकूत किया तो यह इजाज़त नहीं और वह ख़रीदेगा तो कनीज़ मुश्तरक होगी और वती जाइज़ नहीं होगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– एक शख़्स ने कोई चीज़ ख़रीदी है किसी दूसरे शख़्स ने उस से यह कहा मुझे उस में शरीक कर ले मुश्तरी ने कहा शरीक कर लिया अगर यह बातें उस वक़्त हुईं कि मुश्तरी ने मबीअ् (सौदा) पर क़ब्ज़ा कर लिया है तो शिरकत सहीह है और क़ब्ज़ा न किया हो तो शिरकत सहीह नहीं क्योंकि अपनी चीज़ों में दूसरे को शरीक करना उस के हाथ बैअ् करना है और बैअ् उसी चीज़ की हो सकती है जो क़ब्ज़ा में हो और जब शिरकत सहीह होगी तो निस्फ़ समन देना लाज़िम होगा कि दोनों बराबर के शरीक क़रार पायेंगे अल्बत्ता अगर बयान कर दिया है कि एक तिहाई या चौथाई या इतने हिस्से की शिरकत है तो जो कुछ बयान किया है उतनी ही शिरकत होगी और उसी की मुवाफ़िक़ समन देना लाज़िम होगा (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– एक शख़्स ने कोई चीज़ ख़रीदी है दूसरे ने कहा मुझे उस में शरीक कर ले उस ने मन्ज़ूर कर लिया फिर तीसरा शख़्स उसे मिला उस ने भी कहा मुझे इस में शरीक कर ले और उस को शरीक करना भी मन्ज़ूर किया तो अगर इस तीसरे को मालूम था कि एक शख़्स की शिरकत हो चुकी है तो तीसरा एक चौथाई का शरीक है और दूसरा निस्फ़ का और अगर मालूम न था तो यह भी निस्फ़ का शरीक हो गया यानी दूसरा और तीसरा दोनों शरीक हैं और पहला शख़्स अब उस चीज़ का मालिक न रहा और यह शिरकत शिरकते मिल्क है(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– एक शख़्स ने दूसरे से कहा जो कुछ आज या उस महीने में मैं ख़रीदूँगा उस में हम दोनों शरीक हैं या किसी ख़ास किस्म की तिजारत के मुतअल्लिक़ कहा मसलन जितनी गायें या बकरियाँ ख़रीदूँगा उन में हम दोनों शरीक हैं और दूसरे ने मन्ज़ूर किया तो शिरकत सहीह है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– दो शख़्सों का दैन एक शख़्स पर वाजिब हुआ और एक ही सबब से हो तो वह दैन मुश्तरक(कर्ज़ शामिल) है मसलन दोनों की एक मुश्तरक चीज़ थी और उसे किसी के हाथ उधार बेचा या दोनों ने अपनी चीज़ एक अक़्द के साथ किसी के हाथ बैअ् की तो यह दैन मुश्तरक है या दोनों ने उसे एक हज़ार कर्ज़ दिया या दोनों के मूरिस का किसी पर दैन है यह सब दैन मुश्तरक की सूरतें हैं उस का हुक्म यह है कि जो कुछ इस दैन में का एक ने वुसूल किया तो उस में दूसरा भी शरीक है अपने हिस्से के मुवाफ़िक़ तक़सीम कर लें और जो चीज़ वुसूल की है उसकी जगह पर अपने शरीक को दूसरी चीज़ देना चाहता है तो बग़ैर उस की मर्ज़ी के नहीं दे सकता या यह दूसरी चीज़ लेना चाहता है तो उस की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं ले सकता और जिसने वुसूल नहीं किया है उसे यह भी इख़्तियार है कि वुसूल करने वाले से न ले बल्कि मदयून से यह भी वुसूल करे मगर जब कि मदयून ने तमाम मुतालबा अदा कर दिया है तो अब मदयून से वुसूल नहीं कर सकता बल्कि शरीक ही से लेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– दो शख़्सों का दैन किसी पर वाजिब है मगर दोनों का एक सबब न हो बल्कि दो सबब ख़्वाह हक़ीक़तन दो हों या हुक्मन तो यह दैन मुश्तरक नहीं मसलन दोनों ने अपनी दो चीज़ें एक शख़्स के हाथ बेचीं और हर एक ने अपनी चीज़ का समन अ़लाहिदा अ़लाहिदा बयान कर दिया या दोनों की एक मुश्तरक चीज़ थी वह बेची और अपने अपने हिस्से का समन बयान कर दिया तो अब दैन मुश्तरक न रहा और एक ने मुश्तरी से कुछ वुसूल किया तो दूसरा उस से अपने हिस्से का मुतालबा नहीं कर सकता (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक शख़्स पर हज़ार रुपया दैन था दो शख़्सों ने उस की ज़मानत की और ज़ामिनो ने अपने मुश्तरक माल से हज़ार अदा कर दिये फिर एक ज़ामिन ने मदयून(कर्ज़दार)से कुछ वुसूल किया तो दूसरा भी उस में शरीक है और अगर ज़ामिन ने उस से रुपया वुसूल नहीं किया बल्कि अपने हिस्से के बदले में मदयून से कोई चीज़ ख़रीद ली तो दूसरा उस चीज़ का निस्फ़ समन उससे वुसूल कर सकता है और अगर दोनों चाहें तो उस चीज़ में शिरकत करलें और अगर एक ज़ामिन ने चीज़ नहीं ख़रीदी बल्कि अपने कर्ज़ के हिस्से के मक़ाबिल में उस चीज़ पर मुसालिहत की और चीज़ लेली अब दूसरा मुतालबा करता है तो पहले को इख़्तियार है कि आधी चीज़ देदे या उस के हिस्से का आधा दैन अदा कर दे और माले मुश्तरक से अदा न किया हो तो दूसरा उस में शरीक नहीं और अब जो कुछ अपना हक़ वुसूल करेगा दूसरे को उस से तअ़ल्लुक़ नहीं(आलमगीरी)

मसअ्ला :– दो शख़्सों के एक शख़्स पर हज़ार रुपये दैन हैं उन में एक ने पूरे हज़ार से सौ रुपया में सुलह कर ली और यह सौ रुपये उस से ले भी लिए उस के बाद शरीक ने जो कुछ उस ने किया जाइज़ रखा तो सौ में से पचास उसे मिलेंगे और अगर क़ाबिज़ कहता है कि वह रुपये मेरे पास से ज़ाइअ् होगये तो शरीक को उस का तावान नहीं मिलेगा कि जब उस ने सब कुछ जाइज़ कर दिया तो यह अमीन हुआ और अमीन पर तावान नहीं और अगर शरीक ने सुलह को जाइज़ रखा मगर यह नहीं कहा कि जो कुछ उस ने किया मैं ने सब जाइज़ रखा तो यह शरीक मदयून से

अपने हिस्सा के पचास वुसूल कर सकता है और मदयून यह पचास उस से वापस लेगा जिस को सौ रुपये दिए हैं किं उस सूरत में सूलह की इजाज़त है कब्ज़ा की नहीं तो अमीन न हुआ।(आलमगीरी)

मसअला :– एक मकान दो शख़्सों में मुश्तरक है एक शरीक ग़ाइब हो गया तो दूसरा बक़द्र अपने के उस मकान में सुकूनत कर सकता है और अगर वह मकान ख़राब हो गया और उस की सुकूनत की वजह से ख़राब हुआ है तो उस का तावान देना पड़ेगा (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मकान दो शख़्सों में मुश्तरक था तक़सीम हो चुकी है और हर एक का हिस्सा मुमताज़(अलग)है और एक हिस्से का मालिक ग़ाइब हो गया तो दूसरा उस में सुकूनत नहीं कर सकता और न बग़ैर इजाज़ते काज़ी उसे किराये पर दे सकता है और अगर ख़ाली पड़ा रहने में ख़राब होने का अन्देशा हैं तो काज़ी उस को किराये पर दे दे और किराया मालिक के लिए महफ़ूज़ रखे और दो शख़्सों में मुश्तरक खेत है और एक शरीक ग़ाइब हो गया तो अगर काश्त करने से ज़मीन अच्छी होती रहेगी तो पूरी ज़मीन में काश्त करे जब दूसरा शरीक आजाये तो जितनी मुद्दत उस ने काश्त की है वह करले और अगर काश्त से ज़मीन ख़राब होगी या काश्त न करने में अच्छी होगी तो कुल ज़मीन में काश्त न करे बल्कि अपने ही बराबर हिस्सा में ज़राअ़त करे।(आलमगीरी)

मसअला :– ग़ल्ला या रुपया मुश्तरक है और एक शरीक ग़ाइब है और जो मौजूद है उसे ज़रूरत है तो अपने हिस्से के लाइक़ लेकर ख़र्च कर सकता है (आलमगीरी)

मसअला :– दो शख़्स शरीक हों और हर एक को दूसरे के साथ काम करने पर मजबूर किया जा सकता हो और शरीक को काम करना और उस पर ख़र्च करना ज़रूरी हो अगर बग़ैर इजाज़त शरीक ख़र्च करेगा तो यह ख़र्च करना तबर्रोअ़ होगा और उस का मुआवज़ा कुछ न मिलेगा मसलन चक्की दो शख़्सों में मुश्तरक है और इमारत ख़राब हो गई मरम्मत की ज़रूरत है बग़ैर इजाज़त एक ने मरम्मत करादी तो उसका ख़र्च शरीक से नहीं ले सकता या शरीक से उसने इजाज़त माँगी उस ने कह दिया कि काम चल सकता है मरम्मत की ज़रूरत नहीं और उस ने सर्फ़ कर दिया तो कुछ नहीं पायेगा या खेत मुश्तरक है और उस पर ख़र्च करने की ज़रूरत है या ग़ुलाम मुश्तरक है उस को नफ़का वग़ैरा देना ज़रूरी है उन में भी बग़ैर इजाज़त सर्फ़ करने पर कुछ नहीं पायेगा क्यों कि इन सब शरीकों को ख़र्च करने पर मजबूर किया जा सकता है अगर वह इजाज़त नहीं देता काज़ी के पास दअ़्वा कर दे काज़ी उसे ख़र्च करने पर मजबूर करेगा फिर उसे ख़र्च करने की क्या हाजत रही लिहाज़ा तबर्रोअ़ है और अगर ख़र्च करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता और यह बग़ैर ख़र्च के अपना काम नहीं चला सकता तो बग़ैर इजाज़त ख़र्च करना तबर्रोअ़ नहीं. मसलन दो मन्ज़िला मकान है ऊपर का एक शख़्स का है और नीचे का दूसरे का नीचे का मकान गिर गया और यह अपना हिस्सा नहीं बनवाता कि बालाख़ाना वाला उस के ऊपर तअ़मीर कराये और नीचे वाला बनवाने पर मजबूर भी नहीं किया जा सकता लिहाज़ा अगर बाला ख़ाना वाले ने नीचे के मकान की तअ़मीर कराई तो मुतबर्रअ़ नहीं यूँहीं मुश्तरक दीवार है जिस पर एक शरीक ने कड़ियाँ डाल कर अपने मकान की छत पाटी है और यह दीवार गिर गई शरीक जब तक यह दीवार तअ़मीर न कराये उस का काम नहीं चल सकता तो दीवार बनाना तबर्रोअ़ नहीं और अगर शरीक को उस काम का

करना ज़रूरी न हो और बग़ैर इजाज़त करेगा तो तबर्रोअ़ है जैसे दो शख़्सों में मकान मुश्तरक है और ख़राब हो रहा है उस की तअ़मीर ज़रूरी है मगर बग़ैर इजाज़त जो सर्फ़ करेगा उस का मुआवज़ा नहीं मिलेगा कि हो सकता है मकान तक़सीम करा के अपने हिस्से की मरम्मत करा ले पूरे मकान की मरम्मत कराने की उस को क्या ज़रूरत है (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला – तीन जगहों में शरीक को मरम्मत व तअ़मीर पर मजबूर किया जायेगा 1.वसी 2.नाज़िर औक़ाफ़ और 3.उस चीज़ के क़ाबिले क़िस्मत (तक़सीम के लाइक़ चीज़)न होने में **वसी की सूरत** यह है कि दो नाबालिग बच्चों में दीवार मुश्तरक है जिस पर छत पटी है और दीवार के गिरने का अन्देशा है दोनों नाबालिगों के दो वसी हैं एक वसी मरम्मत कराने को कहता है दूसरा इन्कार करता है क़ाज़ी एक अमीन भेजेगा अगर यह बयान करे कि मरम्मत की ज़रूरत है तो जो इन्कार करता है उसे मरम्मत कराने पर क़ाज़ी मजबूर करेगा यूहीं अगर मकान दो वक़्फ़ों में मुश्तरक है जिस की मरम्मत की ज़रूरत है और एक का मुतवल्ली इन्कार करता है क़ाज़ी उसे मजबूर करेगा और गैर क़ाबिल क़िस्मत मसलन नहर या कुँआ या कश्ती और हम्माम और चक्की कि उनमें मरम्मत की ज़रूरत होगी तो क़ाज़ी जब्रन मरम्मत करायेगा (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने दूसरे को इस तौर पर माल दिया कि उस में का आधा उसे बतौर क़र्ज़ दिया है और दोनों ने उस रुपये से शिरकत की और माल ख़रीदा और जिस ने रूपया दिया है वह अपने क़र्ज़ का रूपया तलब कर रहा है और अभी तक माल फ़रोख़्त नहीं हुआ कि रुपया होता अगर फ़रोख़्त तक इन्तिज़ार करे फ़बिहा(तो ठीक) वरना माल की जो उस वक़्त क़ीमत हो उस के हिसाब से अपने क़र्ज़ के बदले में माल ले ले (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मुश्तरक सामान लादकर एक शरीक ले जा रहा है और दूसरा शरीक मौजूद नहीं है रास्ते में बार बरदारी का जानवर थक कर गिर पड़ा और माल ज़ाइअ़ होने या नुक़सान का अन्देशा है उस ने शरीक की अदम मौजूदगी में बार बरदारी का दूसरा जानवर किराये पर लिया तो हिस्सा की क़द्र शरीक से किराया लेगा और अगर मुश्तरक जानवर था जो बीमार हो गया शरीक की अदम मौजूदगी में ज़िबह कर डाला अगर उसके बचने की उमीद थी तो तावान लाज़िम है वरना नहीं और शरीक के अलावा कोई अजनबी शख़्स ज़िबह कर दे तो बहर हाल तावान है यूँहीं चरवाहे ने बीमार जानवर को ज़िबह कर डाला और अच्छे होने की उमीद न थी तो चरवाहे पर तावान नहीं वरना तावान है और अजनबी पर बहर हाल तावान है ख़ानिया (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मुश्तरक जानवर बीमार हो गया और बैतार(जानवर के इलाज करने वाले) ने दागने को कहा और दाग़ दिया उस से जानवर मर गया तो कुछ नहीं और बग़ैर बैतार की राए के ख़ुद करे तो तावान है (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– खेत मुश्तरक था उस को एक शरीक ने बग़ैर इजाज़त बो दिया दूसरा शरीक निस्फ़ बेच देना चाहता है ताकि ज़राअ़त मुश्तरक रहे अगर जमने के बाद दिया है जाइज़ है और पहले दिया तो नाजाइज़ और दूसरा शरीक कहता है कि मैं अपना हिस्सा कच्ची ज़राअ़त का उखाड़लूँगा तो तक़सीम कर दी जाये उस के हिस्सा में जितनी खेती पड़े उखड़वाले (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– एक शरीक ने मदयून की कोई चीज़ हलाक कर दी और उसका तावान लाज़िम आया उस ने मदयून से मुक़ास्सा कर लिया तो उस का निस्फ़ दूसरा शरीक इस शरीक से वुसूल कर सकता है क्यों कि मुक़ास्सा की वजह से निस्फ़ दैन वुसूल हो गया यूँही एक शरीक ने अपने हिस्सए दैन के बदल में मदयून की कोई चीज़ अपने पास रहन रखी और वह चीज़ हलाक हो गई तो दूसरा शरीक उस का आधा उस शरीक से वुसूल कर सकता यूँही अगर मदयून(क़र्ज़मन्द)ने एक शरीक को उस के हिस्सा के लाइक़ किसी को ज़ामिन दिया या किसी पर हवाला कर दिया तो ज़ामिन या हवाला वाले से जो कुछ वुसूल होगा दूसरा शरीक उस में से अपना हिस्सा लेगा(आलमगीरी)

मसअला :– दो शरीकों के एक शख़्स पर हज़ार रुपये बाक़ी हैं और एक शरीक दूसरे के लिए मदयून की तरफ़ से ज़ामिन हुआ तो यह ज़मान बातिल है और उस ज़मान की वजह से ज़ामिन ने दूसरे का उस का हिस्सा अदा कर दिया तो उस में से अपना हिस्सा वापस ले सकता है और अगर बग़ैर ज़ामिन हुए शरीक को रुपया अदा कर दिया तो अदा करना सहीह है और उस में से अपना हिस्सा वापस नहीं ले सकताा और फ़र्ज़ किया जाये कि मदयून से वुसूल ही न हो सका जब भी शरीक से मुतालबा नहीं कर सकता और अगर मदयून खुद या अजनबी ने उस के शरीक का हिस्सा अदा कर दिया है और उस ने बरक़रार रखा अपना हिस्सा उस में से न लिया और मदयून से उस का हिस्सा वुसूल नहीं हो सकता है तो शरीक को जो कुछ मिला है उस में से अपना हिस्सा वापस ले सकता है (आलमगीरी)

वक़्फ़ का बयान

हदीस न.1 :– सहीह मुस्लिम शरीफ़ में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जब इन्सान मर जाता है उस के अमल ख़त्म हो जाते हैं मगर तीन चीज़ों से(कि मरने के बाद उन के सवाब अअ्माल नामा में दर्ज होते रहते हैं) 1.सदक़ा–ए–जारिया (मसलन मस्जिद बनादी मदरसा बनाना कि उस का सवाब बराबर मिलता रहेगा)या 2.इल्म जिस से उस के मरने के बाद लोगों को नफ़अ् पहुँचता रहता है या 3.नेक औलाद छोड़ जाये जो मरने के बाद अपने वालिदैन के लिए दुआ करती रहे।

हदीस न.2 :– सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम व तिर्मिज़ी व नसाई वग़ैरहा में अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि हज़रते उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु को ख़ैबर में एक ज़मीन मिली उन्होंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हो कर यह अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह मुझ को एक ज़मीन ख़ैबर में मिली है कि उस से ज़्यादा नफ़ीस कोई माल मुझ को कभी नहीं मिला हुज़ूर उस के मुतअल्लिक़ क्या हुक्म देते हैं इरशाद फ़रमाया अगर तुम चाहो तो अस्ल को रोक लो(वक़्फ़ कर दो) और उस के मुनाफ़ेअ् को सदक़ा कर दो हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने उस को इस तौर पर वक़्फ़ किया कि अस्ल न बेची जाये न हिबा की जाये न उस में विरासत जारी हो और उस के मुनाफ़अ् फ़ुक़रा और रिश्तावालों और अल्लाह की राह में और मुसाफ़िर व मेहमान में ख़र्च किए जायें और खुद मुतवल्ली उस में से मअ्रुफ़ के साथ खाये या दूसरे को खिलाये तो हर्ज नहीं बशर्ते कि उस में से माल जमअ् न करे।

हदीस न.3 :– इब्ने जुरैज मुहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह क़ुरैशी से रावी कि हज़रत उसमान इब्ने अफ़्फ़ान व ज़ुबैर इब्ने अवाम व तलहा इब्ने उबैदुल्लाह रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुम ने अपने मकानात वक़्फ़ किए थे।

हदीस न.4 :– इब्ने असाकर ने अबी मअ़शर से रिवायत की कि हज़रत अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने अपने वक़्फ़ में यह शर्त की थी कि उन की अकाबिर औलाद से जो दीनदार और साहिबे फ़ज़्ल हो उस को दिया जाये।

हदीस न.5 :– अबू दाऊद व नसाई सअ़द इब्ने उबादा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सअ़द की माँ का इन्तिकाल हो गया(मैं ईसाले सवाब के लिए कुछ सदका करना चाहता हूँ) तो कौनसा सदका अफ़ज़ल है इरशाद फ़रमाया पानी(कि पानी की वहाँ कमी थी और उस की ज़्यादा हाजत थी)उन्होंने एक कुँआ खुदवा दिया और कह दिया कि यह सअ़द की माँ के लिए है यानी उस का सवाब मेरी माँ को पहुँचे इस हदीस से मालूम हुआ कि मुर्दों को ईसाले सवाब करना जाइज़ है और यह भी मालूम हुआ कि किसी चीज़ को नामज़द कर देना कि यह फ़ुलाँ के लिए है यह भी जाइज़ है नामज़द करने से वह चीज़ हराम नहीं हो जाती।

हदीस न.6 :– तिर्मिज़ी व नसाई व दारेक़ुत्नी समामा इब्ने हज़्न क़ुशैरी से रावी कहते हैं मैं वाक़िआए दार में हाज़िर था(यानी जब बाग़ियों ने हज़रत उसमान रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु के मकान का मुहासिरा किया था जिस में वह शहीद हुए)हज़रत उसमान रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने अपने बाला ख़ाना से सर निकाल कर लोगों से फ़रमाया मैं तुमको अल्लाह और इस्लाम के हक़ का वास्ता देकर दरयाफ़्त करता हूँ कि क्या तुम को मालूम है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम हिजरत कर के मदीना में तशरीफ़ लाये तो मदीना में सिवा बिअ्रें रूमा (रूमा कुँए के सिवा)के शीरीं पानी न था हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया कौन है जो बिअ्र रूमा को ख़रीद कर उस में अपना डोल मुसलमानों के डोल के साथ कर दे। (यानी वक़्फ़ कर दे कि तमाम मुसलमान उस से पानी भरें) और उस को उस के बदले में जन्नत में भलाई मिलेगी तो मैंने उसे अपने ख़ालिस माल से ख़रीदा और आज तुम ने उसी कुँए का पानी मुझ पर बन्द कर दिया है यहाँ तक कि मैं खारी पानी पी रहा हूँ लोगों ने कहा हाँ हम जानते हैं यह बात सहीह है फिर हज़रत उसमान ने फ़रमाया मैं तुम को अल्लाह और इस्लाम के हक़ का वास्ता देकर पूछता हूँ क्या तुम जानते हो कि मस्जिद तंग थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कौन है जो फ़ुलाँ शख़्स की ज़मीन ख़रीद कर मस्जिद में इज़ाफ़ा करे उस के बदले में उसे जन्नत में भलाई मिलेगी मैंने ख़ास अपने माल से उसे ख़रीदा और आज उसी मस्जिद में दो रकअ़त नमाज़ पढ़ने से तुम मुझे मनअ़ करते हो लोगों ने जवाब में कहा हाँ हम जानते हैं फिर हज़रत उसमान ने फ़रमाया कि अल्लाह और इस्लाम के हक़ का वास्ता देकर तुम से पूछता हूँ क्या तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम कोहेसबीर पर थे और हुज़ूर के हमराह अबू बक्र व उमर थे और मैं था कि पहाड़ हरकत करने लगा यहाँ तक कि एक पत्थर टूट कर नीचे गिरा हुज़ूर ने पाये अक़दस पहाड़ पर मारे और फ़रमाया ऐ सबीर ठहर जा इस लिए कि तुझ पर नबी और सिद्दीक़ और

दो शहीद हैं लोगों ने कहा हाँ हम जानते हैं हज़रत उसमान ने तकबीर कही और कहा कि कअ़बा के रब की क़सम उन लोगों ने गवाही दी कि मैं शहीद हूँ।

हदीस न.7 :– सहीह मुस्लिम व बुख़ारी वग़ैरहुमा में उसमान रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनायेगा अल्लाह उस के लिए जन्नत में एक घर बनायेगा।

हदीस न.8 :– अबू दाऊद व नसाई व दारमी व इब्ने माजा अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावीकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया क़ियामत की अ़लामत में से यह है कि लोग मसाजिद के मुतअ़ल्लिक़ तफ़ाख़ुर (गर्व)करेंगे।

हदीस न.9 :– सहीह मुस्लिम में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु को ज़कात वुसूल कर ने के लिए भेजा फिर हुज़ूर से किसी ने अ़र्ज़ की कि इब्ने जमील व ख़ालिद इब्ने वलीद व अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम ने ज़कात नहीं दी इरशाद फ़रमाया कि इब्ने जमील का इन्कार सिर्फ़ इस वजह से है कि वह फ़क़ीर था अल्लाह व रसूल ने उसे ग़नी कर दिया उस का इन्कार बिला सबब है और क़ाबिले क़बूल नहीं और ख़ालिद पर तुम ज़ुल्म करते हो(कि उस से ज़कात माँगते हो) उस ने अपनी ज़िरहें और तमाम सामाने हर्ब (जंग का सामान)अल्लाह की राह में वक़्फ़ कर दिया है यानी वक़्फ़ के सिवा क्या है जिसकी ज़कात तुम माँगते हो और अ़ब्बास का सदक़ा मेरे ज़िम्मा है और इतना है और यानी दो साल की ज़कात उन की तरफ़ से मैं अदा करूँगा फिर फ़रमाया ऐ उमर तुम्हें मालूम नहीं कि चचा बमन्ज़िला बाप के होता है।

मसाइले फ़िक़्हिया

वक़्फ़ के यह मअ़ना हैं कि किसी शय को अपनी मिल्क से ख़ारिज कर के ख़ालिस अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल की मिल्क कर देना इस तरह कि उसका नफ़अ़ बन्दगाने ख़ुदा में से जिस को चाहे मिलता रहे।

मसअ्ला :– वक़्फ़ में अगर नियत अच्छी हो और वह वक़्फ़ करने वाला अहले नियत यानी मुसलमान हो तो मुस्तहक़े सवाब है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– वक़्फ़ एक सदक़ा जारिया है कि वाकिफ़ हमेशा उस का सवाब पाता रहेगा और सब में बेहतर वह वक़्फ़ है जिस की मुसलमानों को ज़्यादा ज़रूरत हो और जिस का ज़्यादा नफ़अ़ हो मसलन किताबें ख़रीद कर कुतुबख़ाना बनाया और वक़्फ़ कर दिया कि हमेशा दीन की बातें उस के ज़रीआ़ से मालूम होती रहेंगी(आलमगीरी)और अगर वहाँ मस्जिद न हो और उस की ज़रूरत हो तो मस्जिद बनवाना बहुत सवाब का काम है और तअ़लीम इल्मे दीन के लिए मदरसा की ज़रूरत हो तो मदरसा क़ाइम कर देना और उस की बक़ा के लिए जाइदाद वक़्फ़ करना कि हमेशा मुसलमान उस से फ़ैज़ पाते रहें निहायत अअ़ला दरजे का नेक काम है।

मसअ्ला :– वक़्फ़ की सेहत के लिए यह ज़रूर नहीं कि उस के लिए मुतवल्ली मुकर्रर करे और अपने कब्ज़ा से निकाल कर मुतवल्ली का क़ब्ज़ा दिलादे बल्कि वाकिफ़ ने अगर अपने ही क़ब्ज़ा में रखा जब भी वक़्फ़ सहीह है और मुशाअ़ का वक़्फ़ भी सहीह है (आलमगीरी)

मसअ्ला :— वक़्फ़ का हुक्म यह है कि शय मौक़ूफ़ वाकिफ़ की मिल्क से ख़ारिज हो जाती है मगर मौक़ूफ़ अलैहि(यानी जिस पर वक़्फ़ किया है उस की) मिल्क में दाख़िल नहीं होती बल्कि ख़ालिस अल्लाह तआ़ला की मिल्क क़रार पाती है (आलमगीरी)

वक़्फ़ के अलफ़ाज़ :—

मसअ्ला :— वक़्फ़ के लिए मख़सूस अल्फ़ाज़ हैं जिन से वक़्फ़ सहीह होता है मसलन मेरी यह जाइदाद सदक़ा—ए—मोक़ूफ़ा है कि हमेशा मसाकीन पर उस की आमदनी सर्फ़ होती रहे या अल्लाह तआ़ला के लिए मैंने उसे वक़्फ़ किया मस्जिद या मदरसा या फ़ुलाँ नेक काम पर मैंने वक़्फ़ किया या फ़ुक़रा पर वक़्फ़ किया इस चीज़ को मैंने अल्लाह की राह के लिए कर दिया।

मसअ्ला :— मेरी यह ज़मीन सदक़ा है या मैंने इसे मसाकीन पर तसद्दुक़ (सदक़ा)किया उस कहने से वक़्फ़ नहीं होगा बल्कि यह एक मन्नत है कि उस शख़्स पर वह ज़मीन या उसी क़ीमत का सदक़ा करना वाजिब है सदक़ा कर दिया तो बरीयुज़्ज़िम्मा है वरना मरने के बाद यह चीज़ वुरसा की होगी और मन्नत न पूरा करने का गुनाह उस शख़्स पर (फ़त्हुलक़दीर)

मसअ्ला :— इस ज़मीन को मैंने फ़ुक़रा के लिए कर दिया अगर यह लफ़्ज़ वक़्फ़ में मअ्रुफ़ हो तो वक़्फ़ है वरना उस से दरयाफ़्त किया जाये अगर कहे मेरी मुराद वक़्फ़ थी तो वक़्फ़ है या मक़सूद सदक़ा था या कुछ इरादा था ही नहीं तो उन दोनों सूरतों में नज़्र है मगर फ़र्ज़ करो उस शख़्स ने नज़्र पूरी नहीं की यानी न वह चीज़ सदक़ा की न उस की क़ीमत और मरगया तो उस में विरासत जारी होगी वुरसा पर मन्नत का पूरा करना ज़रुर नहीं। (फ़त्हुल क़दीर)

मसअ्ला :— किसी ने कहा मैंने अपने बाग़ की पैदावार वक़्फ़ की या अपनी जाइदाद की आमदनी वक़्फ़ की तो वक़्फ़ सहीह हो जायेगा कि मुराद बाग़ को वक़्फ़ करना या जाइदाद को वक़्फ़ करना है लिहाज़ा अगर बाग़ में उस वक़्त फल मौजूद हैं तो यह फल वक़्फ़ में दाख़िल न होंगे (फ़त्हुल क़दीर)

मसअ्ला :— किसी मकान की आमदनी हमेशा मसाकीन को देने के लिए वसियत की या जब तक फ़ुलाँ ज़िन्दा रहे उस को दीजाये उस के बाद हमेशा मसाकीन के लिए तो अगर्चे सराहतन यह वक़्फ़ नहीं मगर ज़रूरतन वक़्फ़ है (फ़त्हुल क़दीर)

मसअ्ला :— यह कहा कि मैंने अपनी यह जाइदाद वक़्फ़ की मेरी तरफ़ से हज व उ़मरा में उस की आमदनी सर्फ़ होगी तो वक़्फ़ सहीह है और अगर यह कहा कि यह जाइदाद सदक़ा है जिस को बैअ् न किया जाये तो वक़्फ़ नहीं बल्कि सदक़ा की मन्नत है और अगर यह कहा कि सदक़ा है जिस को न बैअ् किया जाये न हिबा किया जाये न उस में मीरास जारी हो तो फ़ुक़रा पर वक़्फ़ है (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला :— यह कहा कि मेरे इस मकान के किराया से हर महीने में दस रुपये की रोटी ख़रीद कर मसाकीन को तक़सीम कर दिया करो तो इस कहने से वह मकान वक़्फ़ हो गया।

वक़्फ़ के शराइत:—

मसअ्ला :—वक़्फ़ चूँकि एक क़िस्म का तबर्रअ् है कि बग़ैर मुआ़विज़ा अपना माल अपनी मिल्क से ख़ारिज करना है लिहाज़ा तमाम वह शराइत जो तबर्रआत में हैं यहाँ भी मोअ्तबर हैं और उन के एलावा भी शर्तें हैं वक़्फ़ के शराइत यह हैं (1)वाकिफ़ का आ़क़िल होना(2)बालिग़ होना, नाबालिग़

और मजनून ने वक़्फ़ किया यह सहीह नहीं हुआ (3)आज़ाद होना गुलाम ने वक़्फ़ किया सहीह न हुआ इस्लाम शर्त नहीं लिहाज़ा काफ़िर ज़िम्मी का वक़्फ़ भी सहीह है मसलन यूँ कि औलाद पर जाइदाद वक़्फ़ की कि उस की आमदनी औलाद को नसलन बाद नसलिन मिलती रहे और औलाद में कोई न रहे तो मसाकीन पर सर्फ़ की जाये यह वक़्फ़ जाइज़ है और अगर उस ने अपने हम मज़हब मसाकीन की तख़सीस की या यह शर्त लगादी कि उस की औलाद से जो कोई मुसलमान हो जाये उसे उसकी आमदनी न दी जाये तो जिस तरह उस ने कहा या लिखा है उसी के मुवाफ़िक किया जाये और अगर औलाद पर उस ने वक़्फ़ किया और अगर हम मज़हब होने की शर्त नहीं की है तो उस की औलाद में जो कोई मुसलमान हो जायेगा उसे भी मिलेगा कि उस सूरत में उस की शर्त के ख़िलाफ़ नहीं (4)वह काम जिस के लिए वक़्फ़ करता है फ़ी नफ़सिही सवाब का हो यानी वाक़िफ़ के नज़्दीक भी वह सवाब का काम हो और वाक़ेअ़ में भी सवाब का काम हो अगर सवाब का काम नही हैं तो वक़्फ़ सहीह नहीं। मसलन किसी नाजाइज़ काम के लिए वक़्फ़ किया और अगर वाक़िफ़ के ख़याल में वह नेकी का काम हो मगर हक़ीक़त में सवाब का काम न हो तो वक़्फ़ सहीह नहीं और अगर वाक़ेअ़ में सवाब का काम है मगर वाक़िफ़ के एअ़तिक़ाद में कारे सवाब नहीं जब भी वक़्फ़ सहीह नहीं लिहाज़ा अगर नसरानी ने बैतुल मुक़द्दस पर कोई जाइदाद वक़्फ़ की कि उस की आमदनी से उसकी मरम्मत की जाये या उस के तेल बत्ती में सर्फ़ की यह जाइज़ है या यूँ वक़्फ़ किया कि हर साल एक गुलाम ख़रीद कर आज़ाद किया जाये या मसाकीन अहले ज़िम्मा या मुसलेमीन पर सर्फ़ किया जाये यह जाइज़ है और अगर गिर्जा या बुतख़ाना के नाम वक़्फ़ किया कि उस की मरम्मत या चिराग़ बत्ती में सर्फ़ किया जाये या हरबियों पर सर्फ़ किया जाये तो यह बातिल है कि यह सवाब का काम नहीं और अगर नसरानी ने हज व उमरा के लिए वक़्फ़ किया जब भी वक़्फ़ सहीह नहीं कि अगर्चे यह कारे सवाब है मगर उस के एअ़तिक़ाद में सवाब का काम नहीं। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार, आलमगीरी, बदाइअ़ वग़ैरहा)

मसअ्ला :– काफ़िर ने गिर्जा या बुत ख़ाना के लिए वक़्फ़ किया और यह भी कह दिया कि अगरयह गिर्जा या बुत ख़ाना वीरान हो जाये तो फ़ुक़रा व मसाकीन पर उस की आमदनी सर्फ़ की जाये तो गिर्जा या बुत ख़ाने पर आमदनी सर्फ़ न की जाये बल्कि फ़ुक़रा व मसाकीन ही पर सर्फ़ करें (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर काफ़िर ज़िम्मी ने उमूरे ख़ैर (अच्छे कामों) के लिए वक़्फ़ किया और तफ़सील न की तो अगर्चे उस के एअ़तिक़ाद में गिर्जा व बुतख़ाना व मसाकीन पर सर्फ़ करना सभी उमूरे ख़ैर हैं मगर मसाकीन ही पर सर्फ़ की जाये दीगर उमूर में सर्फ़ न करें और अगर अपने पड़ोसियों पर सर्फ़ करने के लिए इस शर्त से वक़्फ़ किया कि अगर कोई पड़ोसवाला बाक़ी न रहे तो मसाकीन पर सर्फ़ किया जाये तो यह वक़्फ़ जाइज़ है और उस के पड़ोस में यहूद व नसरानी हिन्दूमुस्लिम सब हों तो सब पर सर्फ़ किया जाये और मुर्दों के कफ़न दफ़न के लिए वक़्फ़ किया तो उन में सर्फ़ किया जाये (आलमगीरी)

मसअ्ला :– ज़िम्मी ने अपने घर को मस्जिद बनाया और उस की शकल व सूरत बिल्कुल मस्जिद

सी कर दी और उस में नमाज़ पढ़ने की मुसलमानों को इजाज़त भी देदी और मुसलमानों ने उस में नमाज़ पढ़ी जब भी यानी मस्जिद नहीं होगी और उस के मरने के बाद मीरास जारी होगी यूँही अगर घर को गिर्जा वग़ैरा बना दिया हो जब भी उस में मीरास जारी होगी (आलमगीरी)(5)वक़्फ़ के वक़्त वह वाक़िफ़ की मिल्क हो।

मसअ्ला :– अगर वक़्फ़ करने के वक़्त उस की मिल्क न हो बाद में हो जाये तो वक़्फ़ सहीह नहीं मसलन एक शख़्स ने मकान या ज़मीन ग़सब करली थी उसे वक़्फ़ कर दिया फिर मालिक से उस को ख़रीद लिया और समन भी अदा कर दिया कोई चीज़ देकर मालिक से मसालिहत कर ली तो अगर्चे अब मालिक हो गया है मगर वक़्फ़ सहीह नहीं कि वक़्फ़ के वक़्त मालिक न था (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने दूसरे शख़्स के लिए अपने मकान की वसियत की और उस मूसालहू (जिस को वसियत की)ने अभी से उसे वक़्फ़ कर दिया फिर मूसी (वसियत करने वाला) मरा तो यह वक़्फ़ सहीह न हुआ कि वक़्फ़ के वक़्त मूसालहू (जिस को वसियत की)उस का मालिक ही न था यूँही किसी से ज़मीन ख़रीदी थी और बाइअ् को ख़ियारे शर्त था मुश्तरी ने वक़्फ़ कर दी फिर बाइअ् (बेचने वाले) ने बैअ् को जाइज़ कर दिया यह वक़्फ़ जाइज़ नहीं और अगर मुश्तरी को ख़ियार था और बादे वक़्फ़ मुश्तरी ने ख़ियार साक़ित कर दिया तो वक़्फ़ जाइज़ है मौहूब लहू (जिस को हिबा किया) ने क़ब्ज़ा से पहले वक़्फ़ कर दिया फिर क़ब्ज़ा किया तो वक़्फ़ जाइज़ नहीं और अगर हिबा फ़ासिद था मगर क़ब्ज़ा के बाद मौहूब लहू (जिस को हिबा किया) ने वक़्फ़ किया तो वक़्फ़ सहीह है और मौहूब लहू पर उस की क़ीमत वाजिब है (फ़तहुल क़दीर)

मसअ्ला :– बैअ् फ़ासिद से मकान ख़रीदा था और क़ब्ज़ा कर के वक़्फ़ किया तो वक़्फ़ सहीह है और क़ब्ज़ा से पहले वक़्फ़ किया तो नहीं और बैअ् सहीह से ख़रीदा मगर अभी न तो समन अदा किया है न क़ब्ज़ा किया है और वक़्फ़ कर दिया तो यह वक़्फ़ मौकूफ़ है समन अदा कर के क़ब्ज़ा कर लिया जाइज़ हो गया और मरगया और कोई माल भी ऐसा नहीं छोड़ा कि उस से समन अदा किया जाये तो वक़्फ़ सहीह नहीं मकान फ़रोख़्त कर के बाइअ् (बेचने वाले)का समन अदा किया जाये (ख़ानिया आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक मकान ख़रीद कर वक़्फ़ किया उस पर किसी ने दअ्वा किया कि यह मेरा है जिस ने बेचा था उस का न था और क़ाज़ी ने मुद्दओ़ी की डिग्री देदी या उस पर शुफ़आ़ (शरअ़न जिस का ख़रीद ने का हक़ पहले है–क़ादरी) का दअ्वा किया और शफ़ीअ् के हक़ में फ़ैसला हुआ तो वक़्फ़ शिकस्त हो जायेगा और वह मकान असली मालिक या शफ़ीअ् को मिलजायेगा अगर्चे ख़रीदार ने उसे मस्जिद बना दिया हो (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मुर्तद ने ज़मानए इरतिदाद में वक़्फ़ किया तो यह वक़्फ़ मौकूफ़ है अगर इस्लाम की तरफ़ वापस हुआ वक़्फ़ सहीह है वरना बातिल (आलमगीरी)(6)जिस ने वक़्फ़ किया वह अपनी कम अक़्ली या दैन की वजह से ममनूउत्तसर्रुफ़ न हो।

मसअ्ला :– एक बेवकूफ़ शख़्स है जिस की निस्बत क़ाज़ी को अन्देशा है कि अगर उस की रोक

थाम न की गई तो जाइजदाद तबाह व बर्बाद कर देगा काजी ने हुक्म दे दिया कि यह शख़्स अपनी जाइदाद में तसर्रुफ न करे उस ने कुछ जाइदाद वक्फ की तो वक्फ सहीह न हुआ (फतहुल कदीर)

मसअला :– शख़्से मज़कूर ने अपनी जाइदाद इस तरह वक्फ की कि मैं जब तक ज़िन्दा रहूँ उस के मुनाफेअ़ अपनी ज़ात पर सर्फ करता रहूँ और मेरे बाद मसाकीन या मस्जिद या मदरसा में सर्फ हों तो मुहक्केकीन के नज़्दीक वक्फ सहीह है और उस वक्फ की सेहत का हाकिम ने हुक्म दे दिया जब तो सभी के नज़्दीक सहीह है (फतहुलकदीर)

मसअला :– मरीज़ पर इतना दैन है कि उसकी तमाम जाइदाद दैन में मुस्तगरक है उस का वक्फ सहीह नहीं।(रद्दुल मुहतार) (7) जिहालत न होना यानी जिस को वक्फ किया या जिस पर वक्फ किया मालूम हो

मसअला :– अपनी जायदाद का एक हिस्सा वक्फ किया और यह तअ़ईयुन (मख़सूस)नहीं की कि वह कितना है मसलन तिहाई, चौथाई, वगै़रा तो वक्फ सहीह न हुआ अगर्चे बाद में उस हिस्सा की तअ़ईयुन कर दे वक्फ में तरदीद करना कि इस ज़मीन को या उस ज़मीन को वक्फ किया यह वक्फ भी सहीह नहीं। (बहर)

मसअला :– वक्फ सहीह होने के लिए ज़मीन या मकान का मालूम होना ज़रूरी है उस के हुदूद ज़िक्र करना शर्त नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– उस मकान में जितने सिहाम (हिस्से)मेरे हैं उन को मैंने वक्फ किया अगर्चे मालूम न हो कि उस के कितने सिहाम हैं यह वक्फ सहीह है कि अगर्चे उसे उस वक्त मालूम नहीं मगर हकीकतन वह मुतअ़य्यन हैं मजहूल नहीं यूँही अगर यूँ कहा कि उस मकान में मेरा जो कुछ हिस्सा है उसे वक्फ किया और वह एक तिहाई है मगर हकीकतन उस का हिस्सा तिहाई नहीं बल्कि निस्फ है जब भी वक्फ सहीह है और कुल हिस्सा यानी निस्फ वक्फ हो जायेगा (हाशिया बहर)

मसअला :– एक शख़्स ने अपनी ज़मीन वक्फ की जिस में दरख़्त हैं और दरख़्तों को वक्फ से मुसतस्ना किया यह वक्फ सहीह न हुआ कि इस सूरत में दरख़्त मअ़ ज़मीन के मुस्तसना होंगे तो बाकी ज़मीन जिस को वक्फ कर रहा है (मजहूल) न मालूम होगई (बहर)

मसअला :– मौकूफ अ़लैहि अगर मजहूल है मसलन उस को मैं ने अल्लाह के लिए वक्फ मुअब्बद(हमेशा के लिए वक्फ) किया या अपनी कराबत वाले पर वक्फ किया या यह कहा कि ज़ैद या अ़म्र पर वक्फ किया और उस के बाद मसाकीन पर सर्फ किया जाये यह वक्फ सहीह नहीं। (आलमगीरी)(8)वक्फ को शर्त पर मुअ़ल्लक न किया हो

मसअला :– अगर शर्त पर मुअ़ल्लक किया मसलन मेरा बेटा सफर से वापस आये तो यह ज़मीन वक्फ है या अगर मैं इस ज़मीन का मालिक हो जाऊँ या उसे ख़रीदलूँ तो वक्फ है यह वक्फ सहीह नहीं बल्कि अगर वह शर्त ऐसी हो जिसका होना यकीनी है जब भी सहीह नहीं मसलन अगर कल का दिन आजाये तो वक्फ है (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मेरी यह ज़मीन वक्फ है अगर मैं चाहूँ उस के बाद फौरन मुत्तसिलन यह कहा कि मैंने

चाहा और उस को वक़्फ़ कर दिया तो वक़्फ़ सहीह है और न कहा तो वक़्फ़ सहीह नहीं और अगर यह कहा कि मेरी ज़मीन वक़्फ़ है अगर फुलाँ चाहे और उस शख़्स ने फ़ौरन कहा मैंने चाहा तो वक़्फ़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर ऐसी शर्त पर मुअ़ल्लक़ किया जो फिलहाल मौजूद है तो तअ़्लीक़ बातिल है और वक़्फ़ सहीह मसलन यह कहा कि अगर यह ज़मीन मेरी मिल्क में हो या मैं उस का मालिक हो जाँऊ तो वक़्फ़ है और इस कहने के वक़्त ज़मीन उस की मिल्क में है तो वक़्फ़ सहीह है और उस वक़्त मिल्क में नहीं है तो सहीह नहीं। (ख़ानिया)

मसअ्ला :– किसी शख़्स का माल गुम हो गया है उस ने यह कहा कि अगर मैं गुमशुदा माल को पालूँ तो मुझ पर अल्लाह के लिए इस ज़मीन का वक़्फ़ कर देना है यह वक़्फ़ की मन्नत है यानी अगर चीज़ मिल गई तो उस पर लाज़िम होगा कि ज़मीन को ऐसे लोगों पर वक़्फ़ करे जिन्हें ज़कात दे सकता है और अगर ऐसों पर वक़्फ़ किया जिन्हें ज़कात नहीं दे सकता मसलन अपनी औलाद पर तो वक़्फ़ सहीह हो जायेगा मगर नज़्र बदस्तूर उस के ज़िम्मे बाक़ी है(आलमगीरी ख़ुलासा)

मसअ्ला :– मरीज़ ने कहा अगर मैं इस मर्ज़ से मरजाऊँ तो मेरी यह ज़मीन वक़्फ़ है यह वक़्फ़ सहीह नहीं और अगर यह कहा कि मैं मरजाऊँ तो मेरी इस ज़मीन को वक़्फ़ कर देना यह वक़्फ़ के लिए वकील करना है उस के मरने के बाद वकील ने वक़्फ़ किया तो सहीह होगया कि वक़्फ़ के लिए तौकील को शर्त पर मुअ़ल्लक़ करना भी दुरूस्त है मसलन यह कहा कि अगर मैं इस घर में जाऊँ तो मेरा मकान वक़्फ़ है यह वक़्फ़ सहीह नहीं और अगर कहता कि मैं उस घर में जाऊँ तो तुम मेरे मकान को वक़्फ़ कर देना तो वक़्फ़ सहीह है (जौहरा नय्यिरा ख़ुलासा)यानी उस सूरत में सहीह है कि वह ज़मीन उस के तर्का की तिहाई के अन्दर हो या वुरसा इस वक़्फ़ को जाइज़ कर दें और वुरसा जाइज़ न करें तो एक तिहाई वक़्फ़ है बाक़ी मीरास कि यह वक़्फ़ वसीयत के हुक्म में है और वसीयत तिहाई तक जारी होगी बग़ैर इजाज़ते वुरसा तिहाई से ज़्यादा में वसीयत जारी नहीं हो सकती।

मसअ्ला :– किसी ने कहा अगर मैं मरजाऊँ तो मेरा मकान फुलाँ पर वक़्फ़ है यह वक़्फ़ नहीं बल्कि वसियत है यानी वह शख़्स अगर अपनी ज़िन्दगी में बातिल करना चाहे तो बातिल हो सकती है और मरने के बाद यह वसियत एक तिहाई में लाज़िम होगी वुरसा उस को रद नहीं कर सकते अगर्चे वारिस ही पर वक़्फ़ किया हो मसलन यह कहा कि मैंने अपने फुलाँ लड़के और नसलन बाद नसलिन उस की औलाद पर वक़्फ़ किया और जब सिलसिलाए नस्ल मुन्क़तेअ़ हो जाये तो फ़ुक़हा व मसाकीन पर सर्फ़ किया जाये तो इस सूरत में दो तिहाई वुरसा लेंगे और एक तिहाई की आमदनी तन्हा मौक़ूफ़ अ़लैहि (जिस पर वक़्फ़ किया गया) लेगा उस के बाद उस की औलाद लेती रहेगी (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

(9)जाइदादे मौक़ूफ़ा को बैअ़ कर के समन को सर्फ़ कर डालने की शर्त न हो यूँहीं यह शर्त कि जिस को चाहूँगा हिबा कर दूँगा या जब मुझे ज़रूरत होगी उसे रहन रखदूँगा ग़र्ज़ ऐसी शर्त जिस

से वक़्फ़ का इब्ताल (ख़त्म होना) होता हो वक़्फ़ को बातिल कर देती है हाँ वक़्फ़ के इस्तिबदाल (बदले देने) की शर्त सहीह है यानी उस जायदाद को बैअ् कर के कोई दूसरी जाइदाद ख़रीद कर उस के क़ाइम मक़ाम कर दी जायेगी और उस का ज़िक्र आगे आता है।

मसअ्ला :– वक़्फ़ अगर मस्जिद है और उस में इस क़िस्म की शर्तें लगाईं मसलन उस को मस्जिद किया और मुझे इख़्तियार है कि उसे बैअ् कर लूँ या हिबा कर दूँ तो वक़्फ़ सहीह है और शर्त बातिल (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के नज़्दीक वक़्फ़ में ख़ियारे शर्त नहीं हो सकता और इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के नज़्दीक हो सकता है मसलन यह कि मैंने वक़्फ़ किया और तीन दिन तक का मुझे इख़्तियार है कि तीन दिन गुज़र जाने पर वक़्फ़ सहीह हो जायेगा और मस्जिद ख़ियारे शर्त के साथ वक़्फ़ की है तो बिल इत्तिफ़ाक़ शर्त बातिल है और वक़्फ़ सहीह (आलमगीरी)(10)**ताबीद** यानी हमेशा के लिए होना मगर सहीह यह है कि वक़्फ़ मे हमेशगी का ज़िक्र करना शर्त नहीं यानी अगर वक़्फ़ मुअब्बद न कहा जब भी मुअब्बद ही है अगर मुद्दते ख़ास का ज़िक्र किया मसलन मैंने अपना मकान एक माह के लिए वक़्फ़ किया और जब महीना पूरा हो जाये तो वक़्फ़ बातिल हो जायेगा तो यह वक़्फ़ न हुआ और अभी से बातिल है(ख़ानिया)

मसअ्ला :– अगर यह कहा कि मेरी ज़मीन मेरे मरने के बाद एक साल तक सदक़ए मौक़ूफ़ा है तो यह सदक़ा की वसियत है और हमेशा फ़क़ीरों पर उस की आमदनी सर्फ़ होती रहेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर यह कहा कि मेरी ज़मीन एक साल तक फ़ुलाँ शख़्स पर सदक़ा मौक़ूफ़ा है और साल पूरा होने पर वक़्फ़ बातिल है तो एक साल तक उस की आमदनी उस शख़्स को दीजायेगी और एक साल के बाद मसाकीन पर सर्फ़ होगी और अगर सिर्फ़ इतना ही कहा कि एक साल तक फ़ुलाँ शख़्स पर सदक़–ए–मौक़ूफ़ा है तो एक साल तक उस की आमदनी उस शख़्स को दीजायेगी और साल पूरा होने पर वुरसा का हक़ है (ख़ानिया)(11)**वक़्फ़** बिलआख़िर ऐसी जिहत के लिए हो जिस में इन्क़िताअ् (कटाव)न हो मसलन किसी ने अपनी जायदाद अपनी औलाद पर वक़्फ़ की और ज़िक्र कर दिया कि जब मेरी औलाद का सिलसिला न रहे तो मसाकीन पर या नेक कामों में सर्फ़ की जाये तो वक़्फ़ सहीह है कि अब मुन्क़तअ् होने की कोई सूरत न रही।

मसअ्ला :– अगर फ़क़त इतना ही कहा कि मैंने उसे वक़्फ़ किया और मौक़ूफ़ अलैहि (जिस पर वक़्फ़ किया गया) का ज़िक्र न किया तो उरफ़न उस के यही मअ्ना हैं कि नेक कामों में सर्फ़ होगी और बलिहाज़ मअ्ना ऐसी जिहत होगी जिस के लिए इन्क़िताअ् (कटाव)नहीं लिहाज़ा यह वक़्फ़ सहीह है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जायदाद किसी ख़ास मस्जिद के नाम वक़्फ़ की तो चूँकि मस्जिद रहने वाली चीज़ उस के लिए इन्क़िताअ् नहीं लिहाज़ा वक़्फ़ सहीह है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– वक़्फ़ सहीह होने के लिए यह ज़रूरी नहीं कि जायदादे मौक़ूफ़ा के साथ हक़्क़े ग़ैर का तअ़ल्लुक़ न हो बल्कि हक़्क़े ग़ैर का तअ़ल्लुक़ हो जब भी सहीह है मसलन वह जायदाद अगर किसी के इजारा में है और वक़्फ़ कर दी तो वक़्फ़ सहीह हो गया मुद्दते इजारा पूरी हो जाये या दोनों में किसी का इन्तिक़ाल हो जाये तो अब इजारा ख़त्म हो जायेगा और जायदाद मसरफ़े वक़्फ़ में सर्फ़ होगी।

वक़्फ़ के अह़काम

मसअला :— वक़्फ़ का हुक्म यह है कि न ख़ुद वक़्फ़ करने वाला उस का मालिक है न दूसरे को उस का मालिक बना सकता है न उस को बैअ़ कर सकता है न आ़रियत (उधार)दे सकता है न उस को रहन रख सकता है (दुर्रे मुख़्तार)मकाने मौकूफ़ को बैअ़ कर दिया या रहन रख दिया और मुश्तरी या मुरतहिन ने उस में सुकूनत की बाद को मालूम हुआ कि यह वक़्फ़ है तो जब तक उस मकान में रहे उस का किराया देना होगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :— वक़्फ़ को मुस्तह़कीन (यानी जिन पर वक़्फ़ किया गया) पर तक़सीम करना जाइज़ नहीं मसलन किसी शख़्स ने जायदाद अपनी औलाद पर वक़्फ़ की तो यह नहीं हो सकता कि यह जायदाद औलाद पर तक़सीम कर दी जाये कि हर एक अपने ह़िस्सा की आमदनी से मुतमत्तेअ़ (फ़ायदा ह़ासिल) हो बल्कि वक़्फ़ की आमदनी उन पर तक़सीम होगी (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुह़तार)

मसअला :— जिन लोगों पर ज़मीन वक़्फ़ है वह लोग अगर बाहम रज़ा मन्दी के साथ एक एक टुकड़ा ज़राअ़त के लिए ले लें फिर दूसरे साल बदल कर दूसरे दूसरे टुकड़े लें तो हो सकता है मगर ऐसी तक़सीम जो हमेशा के लिए हो कि हर साल वही खेत वह शख़्स ले दूसरे को न लेने दे यह नहीं हो सकता (रद्दुल मुह़तार)

किस चीज़ का वक़्फ़ सह़ीह़ है और किस का नहीं

जायदाद ग़ैर मन्कूला जैसे ज़मीन, मकान, दुकान उन का वक़्फ़ सह़ीह़ है और जो चीज़ें मन्कूल हों मगर ग़ैर मन्कूल की ताबेअ़ हों उन का वक़्फ़ ग़ैर मन्कूल का ताबेअ़ हो कर सह़ीह़ है मसलन खेत को वक़्फ़ किया तो हल, बैल और खेती के जुमला आलात (औज़ार)और खेती के ग़ुलाम यह सब कुछ तबअ़न वक़्फ़ हो सकते हैं या बाग़ वक़्फ़ किया तो बाग़ के जुमला सामान बैल और चरसा वग़ैरह को तबअ़न वक़्फ़ कर सकता है (ख़ानिया)

मसअला :— खेत के साथ साथ हल बैल वग़ैरा भी वक़्फ़ किए तो उन की तअ़दाद भी बयान कर देनी चाहिए कि इतने ग़ुलाम और इतने बैल और इतनी इतनी फ़ुलाँ चीज़ें और यह भी ज़िक्र कर देना चाहिए कि बैल और ग़ुलाम का नफ़्क़ा भी उसी जायदादे मौकूफ़ा (वक़्फ़ की हुई जायदाद)से दिया जायेगा और अगर यह शर्त न भी ज़िक्र करे जब भी उन के मसारिफ़ उसी से दिये जायेंगे (आलमगीरी)

मसअला :— ग़ुलाम या बैल अगर कमज़ोर हो गया और काम के क़ाबिल न रहा और वाक़िफ़ ने यह शर्त कर दी थी कि जब तक ज़िन्दा रहे वक़्फ़ से ख़ुराक मिलती रहे तो अब भी दी जाये और अगर वाक़िफ़ ने कह दिया हो की इस से काम लिया जाये और काम के मक़ाबिल खाने को दिया जाये तो अब वक़्फ़ से नहीं दिया जा सकता और ऐसी सूरत में कि वह काम का न रहा बेचकर उस के बदले में दूसरा बैल ख़रीदना जाइज़ है और अगर उन दामों में दूसरा न मिले तो वक़्फ़ की आमदनी में से कुछ शामिल कर के दूसरा ख़रीदा जाये यूँहीं दीगर आलाते ज़राअ़त (खेती के औज़ार)चरसा रसाहिल वग़ैरा ख़राब हो जायें तो उन्हें बेचकर दूसरे ख़रीद लिए जायें जो वक़्फ़ के लिए कार आमद हों और इस क़िस्म के तसर्रुफ़ात वक़्फ़ का मुतवल्ली करेगा (आलमगीरी, रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला :– घोड़े और असलहा का वक़्फ़ जाइज़ है और उस के अलावा दूसरी मन्कूलात जिनके वक़्फ़ का रिवाज़ है उन को मुस्तकि़लन वक़्फ़ करना जाइज़ है नहीं तो नहीं रहा तबअन (किसी चीज़ के साथ–क़ादरी)वक़्फ़ करना वह हम बयान कर चुके कि जाइज़ है बाज़ वह चीज़ें जिन के वक़्फ़ का रिवाज है यह हैं मुर्दा ले जाने की चारपाई, और जनाज़ा पोश, मय्यत के ग़ुस्ल देने का तख़्ता, क़ुर्आन मजीद, किताबें, देग, दरी, क़ालीन, शामयाना, शादी और बरात के सामान, कि ऐसी चीज़ों को लोग वक़्फ़ कर देते हैं, कि अहले हाजत ज़रूरत के वक़्त इन चीज़ों को काम में लायें फिर मुतवल्ली के पास वापस कर जायें यूँहीं बाज़ मदारिस और यतीम ख़ानों में जाड़े के कपड़े और लिहाफ़ गद्दे वग़ैरा वक़्फ़ कर के दे दिये जाते हैं कि जाड़ों में तलबा यतीमों को इस्तिअ्माल के लिए दे दिए जाते हैं और जाड़े निकल जाने के बाद वापस ले लिए जाते हैं(तबईन,आलमगीरी,)

मसअ्ला :– मस्जिद पर क़ुर्आन मजीद वक़्फ़ किया तो इस मस्जिद में जिस का जी चाहे उस में तिलावत कर सकता है दूसरी जगह लेजाने की इजाज़त नहीं कि इस तरह पर वक़्फ़ करने वाले की मनशा यही होती है और अगर वाक़िफ़ ने तसरीह कर दी है कि उसी मस्जिद में तिलावत की जाये जब तो बिल्कुल ज़ाहिर है क्योंकि उस की शर्त के ख़िलाफ़ नहीं किया जा सकता(आलमगीरी,रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मदारिस में किताबें वक़्फ़ कर दी जाती हैं और आम तौर पर यही होता है कि जिस मदरसा में वक़्फ़ की जाती हैं उसी के असातिज़ा और तलबा के लिए होती हैं ऐसी सूरत में वह किताबें दूसरे मदरसा में नहीं ले जाई जा सकती और अगर इस तरह पर वक़्फ़ की हैं कि जिन को देखना हो वह कुतुब ख़ाना में आकर देखें तो वहीं देखी जा सकती हैं अपने घर पर देखने के लिए नहीं ला सकते (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– बादशाहे इस्लाम ने कोई ज़मीन या गाँव मसालिह आम्मा(पब्लिक के फ़ायदे) पर वक़्फ़ किया मसलन मस्जिद, मदरसा, सराए, वग़ैरा पर तो वक़्फ़ जाइज़ है और सवाब पायेगा और ख़ास अपने नफ़्स या अपनी औलाद पर वक़्फ़ किया तो वक़्फ़ नाजाइज़ है जब कि बैतुलमाल की ज़मीन हो कि उस मसलिहते ख़ास के लिए वक़्फ़ करने का उसे इख़्तियार नहीं हाँ अगर अपनी मिल्क मसलन ख़रीद कर वक़्फ़ करना चाहता है तो उस का उसे इख़्तियार है (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– ज़मीन किसी ने आरियतन या इजारा पर ली थी उस में मकान बना कर वक़्फ़ कर दिया यह वक़्फ़ नाजाइज़ है और अगर ज़मीन मोहतकर है यानी इसी लिए इजारा पर ली है कि उस में मकान बनाये या पेड़ लगाये ऐसी ज़मीन पर मकान बनाकर वक़्फ़ कर दिया तो यह वक़्फ़ जाइज़ है (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– वक़्फ़ी ज़मीन में मकान बनाया और उसी काम के लिए मकान को वक़्फ़ कर दिया जिस के लिए ज़मीन वक़्फ़ थी तो यह वक़्फ़ भी दुरुस्त है और दूसरे काम के लिए वक़्फ़ किया तो ज़्यादा सहीह यह है कि यह वक़्फ़ सहीह नहीं (आलमगीरी)यह उस सूरत में है कि ज़मीन मोहतकर (इकटठ्ठा की हुई) न हो वरना सहीह यह है कि वक़्फ़ सहीह है।

मसअ्ला :– पेड़ लगाये और उन्हें मअ् ज़मीन वक़्फ़ कर दिया तो वक़्फ़ जाइज़ है अगर तन्हा दरख़्त वक़्फ़ किए ज़मीन वक़्फ़ न की तो वक़्फ़ सहीह नहीं और ज़मीन मौक़ूफ़ा में दरख़्त लगाये तो उसके वक़्फ़ का वही हुक्म है कि ऐसी ज़मीन में मकान बना कर वक़्फ़ करने का है (आलमगीरी)

मसअला :– ज़मीन वक़्फ़ की और उस में ज़राअत तय्यार है या उस ज़मीन में दरख़्त हैं जिनमें फल मौजूद हैं तो ज़राअत और फल वक़्फ़ में दाख़िल नहीं जब तक यह न कहे कि मअ् ज़राअत और फल के मैनें ज़मीन वक़्फ़ की अल्बत्ता वक़्फ़ के बाद जो फल आयेंगे वह वक़्फ़ में दाख़िल होंगे और वक़्फ़ के मसरफ़ में सर्फ़ किए जायेंगे और ज़मीन वक़्फ़ की तो उस के दरख़्त भी वक़्फ़ में दाख़िल हैं अगर्चे उस की तसरीह न करे(ख़ानिया)यूँहीं ज़मीन के वक़्फ़ में मकान भी दाख़िल है अगर्चे मकान को ज़िक्र न किया हो (आलमगीरी)

मसअला :– ज़मीन वक़्फ़ की उस में नरकल, सैंठा, बेदा झाऊ वग़ैरा ऐसी चीज़ें हैं जो हर साल काटी जाती हैं यह वक़्फ़ में दाख़िल नहीं यानी वक़्फ़ के वक़्त जो मौजूद हैं वह मालिक की हैं और जो आइन्दा पैदा होंगी वह वक़्फ़ की होंगी और ऐसी चीजें जो दो तीन साल पर काटी जाती हैं जैसे बांस वग़ैरा यह दाख़िल हैं यूँहीं बैगन और मिर्चों के दरख़्त वक़्फ़ में दाख़िल नहीं और फली हुई मिर्चें और बैगन दाख़िल नहीं (ख़ानिया)

मसअला :– ज़मीन वक़्फ़ की उस में गन्ने बोए हुए हैं यह वक़्फ़ में दाख़िल न होंगे और गुलाब, बेले चमेली के दरख़्त दाख़िल होंगे (ख़ानिया)

मिसअला :– हम्माम वक़्फ़ किया तो पानी गरम करने की देग और पानी रखने की टंकियाँ और तमाम वह सामान जो हम्माम में होते हैं सब वक़्फ़ में दाख़िल हैं (आलमगीरी)

मसअला :– खेत वक़्फ़ किया तो पानी और पानी आने की नाली जिस से आब पाशी की जाती है और वह रास्ता जिस से खेत में जाते हैं यह सब वक़्फ़ में दाख़िल हैं (आलमगीरी)

मुशाअ् की तअ्रीफ़ और उस का वक़्फ़ :–

मसअला :– मुशाअ् उस चीज़ को कहते हैं जिस के एक जुज़ ग़ैर मुतअय्यन(ग़ैर मख़सूस) का यह मालिक हो यानी दूसरा शख़्स भी उस में शरीक हो यानी दोनों हिस्सों में इम्तियाज़ न हो उस की दो किस्में हैं एक क़ाबिले किस्मत जो तक़सीम होने के बाद क़ाबिल इन्तिफ़ाअ् (फ़ायदा हासिल करने के लाइक़)बाक़ी रहे जैसे ज़मीन मकान दूसरी ग़ैर क़ाबिले किस्मत कि तक़सीम के बाद उस क़ाबिल न रहे जैसे हम्माम चक्की, छोटी सी कोठरी कि तक़सीम कर देने से हर एक का हिस्सा बेकार सा हो जाता है मुशाअ् ग़ैर क़ाबिले किस्मत का वक़्फ़ बिलइत्तिफ़ाक़ जाइज़ है और क़ाबिले किस्मत हो और तक़सीम से पहले वक़्फ़ करे तो सहीह यह है कि यह उसका वक़्फ़ जाइज़ है और मुताअख़्ख़िरीन ने उसी क़ौल को इख़्तियार किया (आलमगीरी)

मसअला :– मुशाअ् को मस्जिद या क़ब्रिस्तान बनाना बिल इत्तिफ़ाक़ नाजाइज़ है चाहे वह क़ाबिले तक़सीम हो या ग़ैर क़ाबिले तक़सीम क्योंकि मुश्तरक (शामिल चीज़) व मुशाअ् में मुहायात हो सकती है कि दोनों बारी बारी से उस चीज़ से इन्तिफ़ाअ् हासिल करें मसलन मकान में एक साल शरीक सुकूनत करे और एक साल दूसरा रहे या वक़्फ़ है तो वह शख़्स रहे जिस पर वक़्फ़ हुआ है या किराये पर दिया जाये और किराया मसरफ़े वक़्फ़ में सर्फ़ किया जाये मगर मस्जिद व मक़बरा ऐसी चीज़ें नहीं कि उन में मुहायात हो सके यह नहीं हो सकता है कि एक साल तक उस में नमाज़ हो और एक साल शरीक उस में सुकूनत करे या एक साल तक क़बरिस्तान में मुर्दे दफ़न हों और एक साल शरीक उस में ज़राअत करे इस ख़राबी की वजह से उन दोनों चीज़ों के लिए मुशाअ् का

वक़्फ़ ही दुरुस्त नहीं (फ़तहुलक़दीर जौहरा)

मसअ्ला :– ज़मीने मुश्तरक में उस ने अपना हिस्सा वक़्फ़ कर दिया तो उस का बटवारा शरीक से खुद यह वाक़िफ़ करायेगा और वाक़िफ़ का इन्तिक़ाल हो गया हो तो मुतवल्ली का काम है और अगर अपनी निस्फ़ ज़मीन वक़्फ़ कर दी तो वक़्फ़ वग़ैरा वक़्फ़ में तक़सीम यूँ होगी कि वक़्फ़ की तरफ़ से क़ाज़ी होगा और ग़ैर वक़्फ़ की तरफ़ से यह ख़ुद या यूँ करे कि ग़ैर वक़्फ़ को फ़रोख़्त कर दे और मुश्तरी के मुक़ाबिला में वक़्फ़ की तक़सीम कराये (हिदाया)

मसअ्ला :–एक ज़मीन दो शख़्सों में मुश्तरक थी दोनों ने अपने हिस्से वक़्फ़ कर दिये तो बाहम तक़सीम कर के हर एक अपने वक़्फ़ का मुतवल्ली हो सकता है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने अपनी कुल ज़मीन वक़्फ़ कर दी थी इस पर किसी ने निस्फ़ का दअ्वा किया और क़ाज़ी ने मुद्दई को निस्फ़ ज़मीन दिलवादी तो बाक़ी निस्फ़ बदस्तुर वक़्फ़ रहेगी और वाक़िफ़ इस शख़्स से ज़मीन तक़सीम करा लेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– दो शख़्सों में ज़मीन मुश्तरक थी और दोनों ने अपने, हिस्से वक़्फ़ कर दिये ख़्वाह दोनों ने एक ही मक़सद के लिए वक़्फ़ किए या दोनों के दो मक़सद मुख़्तलिफ़ हों मसलन एक ने मसाकीन पर सर्फ़ करने के लिए दूसरे ने मदरसा या मस्जिद के लिए और दोनों ने अलग अलग अपने वक़्फ़ का मुतवल्ली मुक़र्रर किया या एक ही शख़्स को दोनों ने मुतवल्ली बनाया या एक शख़्स ने अपनी कुल जायदाद वक़्फ़ की मगर निस्फ़ एक मक़सद के लिए और निस्फ़ दूसरे मक़सद के लिए यह सब सूरतें जाइज़ हैं (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने अपनी ज़मीन से हज़ार गज़ ज़मीन वक़्फ़ की पैमाइश करने पर मालूम हुआ कि कुल ज़मीन हज़ार ही गज़ है या उस से भी कम तो कुल वक़्फ़ है और हज़ार से ज़्यादा है तो हज़ार गज़ वक़्फ़ है बाक़ी ग़ैर वक़्फ़ और अगर इस ज़मीन में दरख़्त भी हो तो तक़सीम इस तरह होगी कि वक़्फ़ में भी दरख़्त आयें (आलमगीरी)

मसअ्ला :– ज़मीने मुशाअ् में अपना हिस्सा वक़्फ़ किया जिस की मिक़दार एक जरीब(बिघा)है मगर तक़सीम में उस ज़मीन का अच्छा टुकड़ा उस के हिस्से में आया इस वजह से एक जरीब से कम मिला या ख़राब टुकड़ा मिला इस वजह से एक जरीब से ज़्यादा मिला यह दोनों सूरतें जाइज़ हैं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– चन्द मकानात में उस के हिस्से हैं उस ने अपने कुल हिस्से वक़्फ़ कर दिए अब तक़सीम में यह चाहता है कि एक एक जुज़ न लिया जाये बल्कि सब हिस्सों के एवज़ में एक पूरा मकान वक़्फ़ के लिए लिया जाये ऐसा करना जाइज़ है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुश्तरक ज़मीन वक़्फ़ की और तक़सीम यूँ हुई कि एक हिस्सा के साथ कुछ रुपया भी मिलता है अगर वक़्फ़ में यह हिस्सा मअ् रुपया के लिया जाये कि शरीक इतना रुपया भी देगा तो वक़्फ़ में यह हिस्सा लेना जाइज़ न होगा कि वक़्फ़ को बैअ् करना लाज़िम आता है और अगर वक़्फ़ में दूसरा हिस्सा लिया जाये और वाक़िफ़ अपने शरीक को वह रुपया दे तो जाइज़ है और नतीजा यह हुआ कि वक़्फ़ के इलावा उस रुपया से कुछ ज़मीन ख़रीद ली और उस रुपया के मक़ाबिल जितना हिस्सा मिलेगा वह उस की मिल्क है वक़्फ़ नहीं (ख़ानिया फ़तहुल क़दीर)

मसारिफ़े वक़्फ़ का बयान

वक़्फ़ की आमदनी कहाँ ख़र्च हो :–

मसअला :– वक़्फ़ की आमदनी का सब में बड़ा मसरफ़ यह है कि वह वक़्फ़ की इमारत पर सर्फ़ की जाये उस के लिए यह भी ज़रूर नहीं कि वाकिफ़ ने उस पर सर्फ़ करने की शर्त की हो यानी शराइते वक़्फ़ में उस को न भी ज़िक्र किया हो जब भी सर्फ़ करेंगे कि उस की मरम्मत न की तो वक़्फ़ ही जाता रहेगा इमारत पर सर्फ़ करने से यह मुराद है कि उस को ख़राब न होने दें उस में इज़ाफ़ा करना इमारत में दाख़िल नहीं मसलन मकान वक़्फ़ है या मस्जिद पर कोई जाइदाद वक़्फ़ है तो अव्वलन आमदनी को ख़ुद मकान या जाइदाद पर सर्फ़ करेंगे और वाकिफ़ के ज़माना में जिस हालत में थी उस पर बाक़ी रखें अगर उसके ज़माना में सफ़ेदी या रंग किया जाता था तो अब भी माले वक़्फ़ से करें वरना नहीं यूहीं खेत वक़्फ़ है और उस में खाद की ज़रूरत है वरना खेत ख़राब हो जायेगा तो उस की दुरुस्ती मुसतहक़ीन से मुक़द्दम है(आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– इमारत के बाद आमदनी उस चीज़ पर सर्फ़ हो जो इमारत से क़रीब तर और बाएअ्तिबार मसालेह मुफ़ीद तर हो कि यह मअ्नवी इमारत है जैसे मस्जिद के लिए इमाम और मदरसा के लिए मुदर्रिस कि उन से मस्जिद व मदरसा की आबादी है उस को बक़द्र किफ़ायत वक़्फ़ की आमदनी से दिया जाये फिर चिराग़ बत्ती और फ़र्श और चटाई और दीगर ज़रुरियात में सर्फ़ करें जो अहम हो उसे मुक़द्दम रखें और यह उस सूरत में है कि वक़्फ़ की आमदनी किसी ख़ास मसरफ़ के लिए मुअ़य्यन न हो और अगर मुअ़य्यन है मसलन एक शख़्स ने वक़्फ़ की आमदनी चिराग़ बत्ती के लिए मुअ़य्यन कर दी है या वुज़ू के पानी के लिए तअ़ईन (ख़ास) कर दी है तो इमारत के बाद उसी मद में सर्फ़ करें जिस के लिए मुअ़य्यन है (आलमगीरी रद्दुल मुहतार)

मसअला :– इमारत में सर्फ़ करने की ज़रूरत थी और नाज़िर औक़ाफ़ ने वक़्फ़ की आमदनी इमारत वक़्फ़ में सर्फ़ न की बल्कि दीगर मुस्तहक़ीन को दे दी तो उस को तावान देना पड़ेगा यानी जितना मुस्तहक़ीन को दिया है उस के बदले में अपने पास से इमारते वक़्फ़ पर सर्फ़ करे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :–ख़ुद वाकिफ़ ने यह शर्त ज़िक्र कर दी है कि वक़्फ़ की आमदनी को अव्वलन इमारत में सर्फ़ किया जाये और जो बचे मुसतहक़ीन या फ़ुक़रा को दी जाये तो मुतवल्ली पर लाज़िम है कि हर साल आमदनी में से एक मिक़दार इमारत के लिए निकाल कर बाक़ी मुस्तहक़ीन को दे अगर्चे उस वक़्त तअ्मीर की ज़रूरत न हो कि हो सकता है दफ़अ़तन कोई हादसा आजाये और रक़म मौजूद न हो लिहाज़ा पेश्तर ही से उस का इन्तिज़ाम रखना चाहिए और अगर यह शर्त ज़िक्र न करता तो ज़रूरत से क़ब्ल उस के लिए महफ़ूज़ नहीं रखा जाता बल्कि जब ज़रूरत पड़ती उस वक़्त इमारत को सब पर मुक़द्दम किया जाता (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– वाकिफ़ ने इस तौर पर वक़्फ़ किया है कि उस की आमदनी एक या दो साल तक फ़ुलाँ को दी जाये उस के बाद फ़ुक़रा पर सर्फ़ हो और यह शर्त भी ज़िक्र की है कि उस की आमदनी से मरम्मत वग़ैरा की जाये तो अगर इमारत में सर्फ़ करने की शदीद ज़रूरत हो कि न सर्फ़ (ख़र्च न)करने में इमारत को ज़रर पहुँच जाना ज़ाहिर है जब तो इमारत को मुक़द्दम करेंगे

वरना मुकद्दम उस शख़्स को देना है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– इमारत पर सर्फ़ होने की वजह से एक या चन्द साल तक दीगर मुसतहक़ीन को न मिला तो इस ज़माना का हक़ ही साक़ित (खत्म)हो गया यह नहीं कि वक़्फ़ के ज़िम्मे इतने ज़माने का हक़ बाक़ी है यानी बिलफ़र्ज़ आइन्दा साल वक़्फ़ की आमदनी इतनी ज़्यादा हुई कि सब को दे कर कुछ बच गई तो साले गुज़िश्ता के एवज़ में मुस्तहक़ीन उस का मुतालबा नहीं कर सकते(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– वक़्फ़ की आमदनी मौजूद है और कोई वक़्ती नेक काम में ज़रूरत है जिस के लिए जायदाद वक़्फ़ है मसलन मुसलमान क़ैदी को छुड़ाना है या ग़ाज़ी की मदद करनी है और ख़ुद वक़्फ़ की दुरुस्ती के लिए भी ख़र्च करने की ज़रूरत है अगर उसकी ताख़ीर में वक़्फ़ को शदीद नुक़सान पहुँच जाने का अन्देशा है जब तो उसी में ख़र्च करना ज़रूर है और अगर मालूम है कि दूसरी आमदनी तक उस को मुअख़्ख़र रखने में वक़्फ़ को नुक़सान नहीं पहुँचेगा तो उसे नेक काम में सर्फ़ कर दिया जाये (खानिया)

मसअ्ला :– अगर वक़्फ़ की इमारत को क़स्दन किसी ने नुक़सान पहुँचाया तो जिस ने नुक़सान पहुँचाया उसे तावान देना पड़ेगा (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– अपनी औलाद के रहने के लिए मकान वक़्फ़ किया तो जो उस में रहेगा वही मरम्मत भी करायेगा अगर मरम्मत की ज़रूरत है वह मरम्मत नहीं कराता या उस के पास कुछ है ही नहीं जिस से मरम्मत कराये तो मुतवल्ली या हाकिम इस मकान को किराये पर देदेगा और किराये से उस की मरम्मत करायेगा और मरम्मत के बाद उस को वापस देदेगा और ख़ुद यह शख़्स किराये पर नहीं दे सकता और उस को मरम्मत कराने पर मजबूर नहीं कर सकते। (हिदाया)

मसअ्ला :– मकान इस लिए वक़्फ़ किया है कि उस की आमदनी फ़ुलाँ शख़्स को दी जाये तो यह शख़्स उस में सुकूनत नहीं कर सकता और न इस मकान की मरम्मत उस के ज़िम्मे है बल्कि उस की आमदनी अव्वलन मरम्मत में सर्फ़ होगी इस से बचेगी तो उस शख़्स को मिलेगी और अगर ख़ुद उस शख़्स मौक़ूफ़ अलैहि (जिस पर वक़्फ़ किया गया)ने उस में सुकूनत की और तन्हा उसी पर वक़्फ़ है तो उस पर किराया वाजिब नहीं कि इस से किराया लेकर फिर इसी को देना बेफ़ाइदा है और अगर कोई दूसरा भी शरीक है तो किराया लिया जायेगा ताकि दूसरे को भी दिया जाये यूँही अगर उस मकान में मरम्मत की ज़रूरत है जब भी इस से किराया वुसूल किया जायेगा ताकि उस से मरम्मत की जाये (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– और ऐसे मकान का मौक़ूफ़ अलैहि ख़ुद मुतवल्ली भी है और उस ने सुकूनत भी की और मकान में मरम्मत की ज़रूरत है तो क़ाज़ी उसे मजबूर करेगा कि जो किराया उन पर वाजिब है उस से मकान की मरम्मत कराये और क़ाज़ी के हुक्म देने पर भी मरम्मत नहीं कराई तो क़ाज़ी दूसरे को मुतवल्ली मुक़र्रर करेगा कि वह तअ्मीर करायेगा।

मसअ्ला :– जो शख़्स वक़्फ़ी मकान में रहता था उस ने अपना माल वक़्फ़ी इमारत में सर्फ़ किया है अगर ऐसी चीज़ों में सर्फ़ किया है जो मुस्तक़िल वुजूद नहीं रखती मसलन सफ़ेदी कराई है या दीवारों में रंग या नक़्श व निगार कराये तो उसका कोई मुआविज़ा वग़ैरा उस को या उसके वुरसा

को नहीं मिल सकता और अगर वह मुस्तकिल वुजूद रखती है और उस के जुदा करने से वक़्फ़ी इमारत को कुछ नुक़सान नहीं पहुँच सकता तो उस को या उस के वुरसा से कहा जायेगा तुम अपना अम्ला उठा लो न उठायें तो जबरन उठवा दिया जायेगा और अगर मौकूफ़ अ़लैहि से कुछ लेकर उन्होंने मुसालिहत कर ली तो यह भी जाइज़ है और अगर वह ऐसी चीज़ है जिस के जुदा करने से वक़्फ़ को नुक़सान पहुँचेगा मसलन उस की छत में कड़ियाँ डलवाई हैं तो यह या इसके वुरसा निकाल नहीं सकते बल्कि जिस पर वक़्फ़ है उस से क़ीमत दिलवाई जायेगी और क़ीमत देने से वह इन्कार करे तो मकान को किराये पर देकर किराये से क़ीमत अदा कर दी जाये फिर मौकूफ़ अ़लैहि को मकान वापस दे दिया जाये (आलमगीरी)

मसअ्ला :– ज़रूरत के वक़्त मसलन वक़्फ़ की इमारत में सर्फ़ करना है और सर्फ़ न करेंगे तो नुक़सान होगा या खेत बोने का वक़्त है और वक़्फ़ के पास न रुपया है न बीज और खेत न बोयें तो आमदनी ही न होगी ऐसे औक़ात में वक़्फ़ की तरफ़ से क़र्ज़ लेना जाइज़ है मगर उसके लिए दो शर्तें हैं एक यह कि क़ाज़ी की इजाज़त से हो दोम यह कि वक़्फ़ की चीज़ को किराये पर देकर किराये से ज़रूरत को पूरा न कर सकते हों और अगर क़ाज़ी वहाँ मौजूद नहीं है दूरी पर है तो खुद भी क़र्ज़ ले सकता है ख़्वाह रुपया क़र्ज़ ले या ज़रूरत की कोई चीज़ उधार ले दोनों तरह जाइज़ है (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– वक़्फ़ की इमारत मुनहदिम होगई फिर उस की तअ्मीर हुई और पहले का कुछ सामान बचा हुआ है तो अगर यह ख़याल हो कि आइन्दा ज़रूरत के वक़्त उसी वक़्फ़ में काम आ सकता है जब तो महफ़ूज़ रखा जाये वरना फ़रोख़्त कर के क़ीमत को मरम्मत में सर्फ़ करें और अगर रख छोड़ने में ज़ाइअ् होने का अन्देशा है जब भी फ़रोख़्त कर डालें और समन महफ़ूज़ रखें यह चीज़ें खुद उन लोगों को नहीं दी जा सकतीं जिन पर वक़्फ़ है (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुतवल्ली ने वक़्फ़ के काम करने के लिए किसी को अजीर (तन्ख़्वाहदार)रखा और वाजिबी उजरत से छटा हिस्सा ज़्यादा कर दिया मसलन छः आने की जगह सात आने दिए तो सारी उजरत मुतवल्ली को अपने पास से देनी पड़ेगी और अगर ख़फ़ीफ़ ज़्यादती है कि लोग धोका खाकर उतनी ज़्यादती कर दिया करते हैं तो उस का तावान नहीं बल्कि ऐसी सूरत में वक़्फ़ से उजरत दिलाई जायेगी (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– किसी ने अपनी जाइदाद मसालिह मस्जिद के लिए वक़्फ़ की है तो इमाम मुअज़्ज़िन जारूबकश, फ़र्राश, दरबान, चटाई, जानमाज़, क़िन्दील, तेल, रौशनी करने वाला, वुज़ू का पानी, लोटे, रस्सी, डोल, पानी भरने वाले की उजरत, इस क़िस्म के मसारिफ़े मसालेह में शुमार होंगे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मस्जिद छोटी बड़ी होने से ज़रूरियात व मसालेह का इख़्तिलाफ़ होगा मस्जिद की आमदनी कसीर है कि ज़रूरियात से बच रहती है तो उमदा नफ़ीस जा नमाज़ का ख़रीदना भी जाइज़ है चटाई की जगह दरी या क़ालीन का फ़र्श बिछा सकते हैं(बहर)

मस्जिद व मदरसों के मुतअ़ल्लेक़ीन के वज़ाइफ़

मसअ्ला :– मदरसा पर जाइदाद वक़्फ़ की तो मुदर्रिस की तनख़्वाह, तलबा की ख़ूराक वज़ीफ़ा,किताब, लिबास, वग़ैरहा में जायदाद की आमदनी सर्फ़ की जा सकती है वक़्फ़ के निगराँ हिसाब का दफ्तर, और मुहासिब की तनख़्वाह यह चीजें भी मसारिफ़ में दाख़िल हैं बल्कि वक़्फ़ के मुतअ़ल्लिक़ जितने काम करने वालों की ज़रूरत हो सब को वक़्फ़ से तनख़्वाह दी जायेगी।

मसअ्ला :– औक़ाफ़ से जो माहवार वज़ाइफ़ मुक़र्रर होते हैं यह मिन वजह(एक तरह की) उजरत है और मिन वजह सिला, उजरत तो यूँ है कि इमाम मुअज़्ज़िन की अगर इसनाए साल में वफ़ात हो जाये तो जितने दिन काम किया है उस की तनख़्वाह मिलेगी और महज़ सिला होता तो न मिलती और अगर पेशगी तनख़्वाह उन को दी जा चुकी है बाद में इन्तिक़ाल हो गया या मअ्ज़ूल कर दिए गये तो जो कुछ पहले दे चुके हैं वह वापस नहीं होगा और महज़ उजरत होती तो वापस होती।(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– मदरसा में तअ्तील के जो अय्याम हैं मसलन जुमा मंगल या जुमेरात जुमा, माहे रमज़ान और ईद बक़र ईद की तअ्तीलें (छुट्टियाँ)जो आम तौर पर मुसलमानों में राइज व मअ्मूल हैं उन तअ्तीलात की तनख़्वाह का मुदर्रिस मुस्तहक़ है और उन के अलावा अगर मदरसा में न आया या बिला वजह तअ्लीम न दी तो उस रोज़ की तनख़्वाह का मुस्तहक़ नहीं (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– तालिबे इल्म वज़ीफ़ा का उस वक़्त मुस्तहक़ है कि तअ्लीम में मशग़ूल हो और अगर दूसरा काम करने लगा या बेकार रहता है तो वज़ीफ़ा का मुस्तहक़ नहीं अगर्चे उस की सुकूनत मदरसा ही में हो और अगर अपने पढ़ने के लिए किताब लिखने में मशग़ूल हो गया जिस का लिखना ज़रूरी था इस वजह से पढ़ने नहीं आया तो वज़ीफ़ा का मुस्तहक़ है और अगर वहाँ से मुसाफ़ते सफ़र पर चला गया तो वापसी पर वज़ीफ़ा का मुस्तहक़ नहीं और मुसाफ़त सफ़र से कम फ़ासिला की जगह पर गया है और पन्द्रह दिन वहाँ रह गया जब भी मुस्तहक़ नहीं और उस से कम ठहरा मगर जाना सैर व तफ़रीह के लिए था जब भी मुस्तहक़ नहीं और अगर ज़रूरत की वजह से गया मसलन खाने के लिए उस के पास कुछ नहीं था इस ग़र्ज़ से गया कि वहाँ से कुछ चन्दा वुसूल कर लाये तो वज़ीफ़ा का मुस्तहक़ है (खानिया)

मसअ्ला :– मुदर्रिस या तालिबे इल्म हज फ़र्ज़ के लिए गया तो उस ग़ैर हाज़िरी की वजह से मअ्ज़ूल किए जाने का मुस्तहक़ नहीं बल्कि अपना वज़ीफ़ा भी पायेगा(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– इमाम अपने अइज़्ज़ा(क़रीबी प्यारों)की मुलाक़ात को चला गया और एक हफ़्ता या कुछ कम व बेश इमामत न कर सका या किसी मुसीबत या इस्तिराहत की वजह से इमामत न कर सका तो हर्ज नहीं इन दिनों का वज़ीफ़ा लेने का मुस्तहक़ है (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– इमाम ने अगर चन्द रोज़ के लिए किसी को अपना क़ाइम मक़ाम मुक़र्रर कर दिया है तो यह उस का क़ाइम मक़ाम है मगर वक़्फ़ की आमदनी से उस को कुछ नहीं दिया जा सकता क्योंकि इमाम की जगह इस का तक़र्रुर नहीं है और जो कुछ इमाम ने उस के लिए मुक़र्रर किया है वह इमाम से लेगा और ख़ुद इमाम ने अगर साल के अक्सर हिस्से में काम किया है तो कुल वज़ीफ़ा पाने का मुस्तहक़ है (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– इमाम व मुअज़्ज़िन का सालाना मुक़र्रर था और इसनाए साल में इन्तिकाल हो गया तो जितने दिनों काम किया है उतने दिनों की तनख़्वाह के मुस्तहक़ हैं उन के वुरसा को दी जायेगी अगर्चे औक़ाफ़ की आमदनी आने से पहले इन्तिक़ाल हो गया हो और मुदर्रिस का इन्तिक़ाल हो गया तो जितने दिनों काम किया है यह भी उतने दिनों की तनख़्वाह का मुस्तहक़ है और दूसरे लोग जिन को वक़्फ़ से वज़ीफ़ा मिलता है वह इसनाए साल में फ़ौत हो जायें और वक़्फ़ की आमदनी अभी नहीं आई है तो वज़ीफ़ा के मुस्तहक़ नहीं और फ़ुक़रा पर जाइदाद वक़्फ़ थी और जिन फ़क़ीरों को देना है उन के नाम लिख गये और रक़म भी बरआमद करली गई तो यह लोग जिनके नाम पर रक़म बरआमद हुई मुस्तहक़ हो गये लिहाज़ा देने से पहले उन में से किसी का इन्तिक़ाल हो गया तो उस के वारिस को दिया जाये यूंहीं मक्का मुअ़ज़्ज़मा या मदीनए त़य्यिबा को या किसी को किसी दूसरी जगह किसी मुअ़य्यन शख़्स के नाम जो रक़म भेजी गई वहाँ पहुँचने से पहले उस का इन्तिक़ाल हो गया तो उस के वुरसा उस रक़म के मुस्तहक़ हैं जो शख़्स उस रक़म को ले गया वह उन्हीं वुरसा को दे दूसरे लोगों को न दे (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– इमाम मुअज़्ज़िन में सालाना की कोई तख़सीस नहीं बल्कि शशमाही या माहवार तनख़्वाह हो(जैसा कि हिन्दुस्तान में उ़मूमन माहवार तनख़्वाह होती है सालाना या शशमाही इत्तिफ़ाक़न होती है)और दरमियान में इन्तिक़ाल हो जाये तो इतने दिनों की तनख़्वाह का मुस्तहक़ है।

वक़्फ़ तीन क़िस्म का होता है :–

मसअला :– वक़्फ़ तीन त़रह होता है सिर्फ़ फ़ुक़रा के लिए वक़्फ़ हो मसलन उस जायदाद की आमदनी ख़ैरात की जाती रहे या या अग़निया (मालदारों) के लिए फिर फ़ुक़रा के लिए मसलन नसलन बाद नसलिन अपनी औलाद पर वक़्फ़ किया और यह ज़िक्र कर दिया कि अगर मेरी औलाद में कोई न रहे तो उस की आमदनी फ़ुक़रा पर सर्फ़ की जाये या अग़निया व फ़ुक़रा दोनों के लिए जैसे कूँआ सराए, मुसाफ़िर ख़ाना, क़बरिस्तान, पानी पिलाने की सबील, पुल, मस्जिद कि इन चीज़ों में उ़रफ़न फ़ुक़रा की तख़सीस नहीं होती लिहाज़ा अगर अग़निया की तसरीह न करे जब भी उन चीज़ों से अग़निया फ़ायदा उठा सकते हैं और हस्पताल पर जायदाद वक़्फ़ की कि उसकी आमदनी से मरीज़ों को दवायें दी जायें तो उस दवा को अग़निया उस वक़्त इस्तिअ़माल कर सकते हैं जब वाक़िफ़ ने तअ़मीम (आ़म इजाज़त)कर दी हो कि जो बीमार आये उसे दवा दीजाये या अग़निया की तस़रीह कर दी हो कि अमीर व ग़रीब दोनों को दवाए दीजायें (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– सिर्फ़ अग़निया पर वक़्फ़ जाइज़ नहीं हाँ अगर अग़निया पर हो उन के बाद फ़ुक़रा पर जिन अग़निया पर वक़्फ़ किया जाये उन की तअ़दाद मालूम हो तो जाइज़ है (आलमगीरी)

मसअला :– मुसाफ़िरों पर वक़्फ़ किया यानी वक़्फ़ की आमदनी मुसाफ़िरों पर सर्फ़ हो यह वक़्फ़ जाइज़ है और उस के मुस्तहक़ वही मुसाफ़िर हैं जो फ़कीर हो जो मुसाफ़िर मालदार हों वह हक़दार नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– फ़क़ीरों या मिस्कीनों पर वक़्फ़ किया तो यह वक़्फ़ मुतलक़न सहीह है चाहे मौक़ूफ़ अ़लैहि महसूर (गिने चुने)हों या ग़ैर महसूर और अगर ऐसा मसरफ़ ज़िक्र किया जिस में फ़क़ीर व

ग़नी दोनों पाये जाते हों मसलन क़राबत वाले पर वक़्फ़ किया तो अगर मुअय्यन हों वक़्फ़ सहीह है वरना नहीं अगर वह लफ़्ज़ इस्तिअ़्माल के लिहाज़ से हाजत पर दलालत करता हो तो वक़्फ़ सहीह है मसलन (यतामा) पर या तलबा पर वक़्फ़ किया कि फ़क़ीर व ग़नी दोनों यतीम होते हैं और दोनों तालिबे इल्म होते हैं मगर उ़र्फ़ में यह दोनों लफ़्ज़ हाजतमन्दों पर बोले जाते हैं तो उन से भी वक़्फ़ सहीह है और वक़्फ़ की आमदनी सिर्फ़ हाजतमन्द यतीम और तलबा को दी जायेगी मालदार को नहीं यूँहीं अपाहिज और अन्धों पर वक़्फ़ भी सहीह है और सिर्फ़ मोहताजों को दिया जायेगा यूँहीं बेवाओं पर भी वक़्फ़ सहीह है अगर्चे यह लफ़्ज़ फ़क़ीर व ग़नी दोनों को शामिल है मगर इस्तिमाल उस से उ़मूमन एहतियाज समझ में आती है यूँही फ़िक़्ह व हदीस के शुग़्ल रखने वालों पर भी वक़्फ़ सहीह है कि यह लोग इल्मी शुग़्ल की वजह से कसब रोज़ी कमाना) में नहीं होते और उ़मूमन साहिबे हाजत होते हैं। (फ़तहुलक़दीर)

मसअ्ला :– औक़ाफ़ में नया वज़ीफ़ा मुक़र्रर करने का क़ाज़ी को भी इख़्तियार नहीं यानी ऐसा वज़ीफ़ा जो वाक़िफ़ के शराइत में नहीं है तो शराइत के ख़िलाफ़ मुक़र्रर करना बदरज–ए–ऊला नाजाइज़ होगा और जिस के लिए मुक़र्रर किया गया उस को लेना भी नाजाइज़ है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– क़ाज़ी अगर किसी शख़्स के लिए तअ्लीक़ी (शर्त के साथ) वज़ीफ़ा जारी करे तो हो सकता है मसलन यह कहा कि अगर फ़ुलाँ मरजाये या कोई जगह ख़ाली हुई तो मैंने उसकी जगह तुझ को मुक़र्रर कर दिया तो मरने पर उस का तक़र्रुर उस की जगह पर हो गया (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अगर उमूरे ख़ैर के लिए वक़्फ़ किया और यह कहा कि आमदनी से पानी की सबील लगाई जाये या लड़कियों और यतामा (यतीमों) की शादी का सामान कर दिया जाये या कपड़े ख़रीद कर फ़क़ीरों को दिये जायें या हर साल आमदनी सदक़ा करदी जाये या ज़मीन वक़्फ़ की कि उस की आमदनी जिहाद में सर्फ़ की जाये या मुजाहिदीन का सामान कर दिया जाये या मुर्दों के कफ़न दफ़न में सर्फ़ की जाये यह सब सूरतें जाइज़ हैं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक वक़्फ़ की आमदनी कम है जिस मक़सद से जाइदाद वक़्फ़ की है वह मक़सद पूरा नहीं होता मसलन जाइदाद वक़्फ़ की कि उस के किराये से इमाम व मुअज़्ज़िन की तनख़्वाह दी जाये मगर जितना किराया आता है उस से इमाम व मुअज़्ज़िन की तनख़्वाह नहीं दी जासकती कि इतनी कम तनख़्वाह पर कोई रहता ही नहीं तो दूसरे वक़्फ़ की आमदनी उस पर सर्फ़ की जासकती है जब कि दूसरा वक़्फ़ भी उसी शख़्स का हो और उसी चीज़ पर वक़्फ़ हो मसलन एक मस्जिद के मुतअ़ल्लिक़ उस शख़्स ने दो वक़्फ़ किए एक की आमदनी इमारत के लिए और दूसरे की इमाम व मुअज़्ज़िन की तनख़्वाह के लिए और उस की आमदनी कम है तो पहले वक़्फ़ की फ़ाज़िल आमदनी इमाम व मुअज़्ज़िन पर सर्फ़ की जा सकती है और अगर वाक़िफ़ दोनों वक़्फ़ों के दो हों मसलन दो शख़्सों ने एक मस्जिद पर वक़्फ़ किया या वाक़िफ़ एक ही हो मगर जिहते वक़्फ़ मुख़्तलिफ़ हों मसलन एक ही शख़्स ने मस्जिद व मदरसा बनाया और दोनों पर अलग अलग वक़्फ़ किया तो एक की आमदनी दूसरे पर सर्फ़ नहीं कर सकते (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– दो मकान वक़्फ़ किए एक अपनी औलाद के रहने के लिए और दूसरा इस लिए कि इस का किराया मेरी औलाद पर सर्फ़ होगा तो एक को दूसरे पर सर्फ़ नहीं कर सकते (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– वक़्फ़ से इमाम की जो कुछ तनख़्वाह मुक़र्रर है अगर वह नाकाफ़ी है तो क़ाज़ी उस में इज़ाफ़ा कर सकता है और अगर इतनी तनख़्वाह पर दूसरा इमाम मिल रहा है मगर यह इमाम आलिम परहेज़गार है उस से बेहतर है जब भी इज़ाफ़ा जाइज़ है और अगर एक इमाम की तनख़्वाह में इज़ाफ़ा हुआ उस के बाद दूसरा इमाम मुक़र्रर हुआ तो अगर इमामे अव्वल की तनख़्वाह का इज़ाफ़ा उस की ज़ाती बुज़ुर्गी की वजह से था जो दूसरे में नहीं तो दूसरे के लिए इज़ाफ़ा जाइज़ नहीं और अगर वह इज़ाफ़ा किसी बुज़ुर्गी व फ़ज़ीलत की वजह से न था बल्कि ज़रूरत व हाजत की वजह से था तो दूसरे के लिए भी तन्ख़्वाह में वही इज़ाफ़ा होगा यही हुक्म दूसरे वज़ीफ़ा पाने वालों का भी है कि ज़रूरत की वजह से उन की तनख़्वाहों में इज़ाफ़ा किया जा सकता है (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

औलाद पर या अपनी ज़ात पर वक़्फ़ का बयान

मसअ्ला :– यूँ कहा कि इस जाइदाद को मैंने अपने ऊपर वक़्फ़ किया मेरे बाद फ़ुलाँ पर उस के बाद फ़ुक़रा पर यह वक़्फ़ जाइज़ है यूँहीं अपनी औलाद या नस्ल पर भी वक़्फ़ करना जाइज़ है(आलमगीरी)

मसअ्ला :– अपनी औलाद पर वक़्फ़ किया उन के बाद मसाकीन व फ़ुक़रा पर तो जो औलाद आमदनी के वक़्त मौजूद है अगर्चे वक़्फ़ के वक़्त मौजूद न थी उसे हिस्सा मिलेगा और जो वक़्फ़ के वक़्त मौजूद थी और अब मरचुकी है उसे हिस्सा नहीं मिलेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औलाद नहीं है और औलाद पर यूँ वक़्फ़ किया कि जो मेरी औलाद पैदा हो वह आमदनी की मुस्तहक़ है यह वक़्फ़ सहीह है और उस सूरत में जब तक औलाद पैदा न हो वक़्फ़ की जो कुछ आमदनी होगी मसाकीन पर सर्फ़ होगी और जब औलाद पैदा होगी तो अब जो कुछ आमदनी होगी उस को मिलेगी (ख़ानिया)

मसअ्ला :– औलाद पर वक़्फ़ किया तो लड़के और लड़कियाँ और ख़ुन्सा सब उस में दाख़िल हैं और लड़कों पर वक़्फ़ किया लड़कियाँ और ख़ुन्सा दाख़िल नहीं लड़कियों पर वक़्फ़ किया तो लड़के और ख़ुन्सा दाख़िल नहीं और यूँ कहा कि लड़के और लड़कियों पर वक़्फ़ किया तो ख़ुनसा दाख़िल है कि वह हक़ीक़तन लड़का है या लड़की अगर्चे ज़ाहिर में कोई जानिबे मुतअ़य्यन (मख़्सूस)न हो।

मसअ्ला :– अपनी उस औलाद पर वक़्फ़ किया जो मौजूद है और नसलन बाद नस्ल उस की औलाद पर तो वाक़िफ़ की जो औलाद वक़्फ़ करने के बाद पैदा होगी यह और उसकी औलाद हक़दार नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औलाद पर वक़्फ़ किया तो उस औलाद को हिस्सा मिलेगा जो मअ़रुफ़ुन्नसब हो और अगर उसका नसब सिर्फ़ वाक़िफ़ के इक़रार से साबित होता हो तो आमदनी की मुस्तहक़ नहीं इस की सूरत यह है कि एक शख़्स ने जाइदाद औलाद पर वक़्फ़ की और वक़्फ़ की आमदनी आने के बाद छः महीने से कम में उस की कनीज़ से बच्चा पैदा हुआ उस ने कहा यह मेरा बच्चा है तो नसब साबित हो जायेगा मगर उस आमदनी से उस को कुछ नहीं मिलेगा और मनकूहा या उम्मे वलद से छः महीने से कम में बच्च पैदा हुआ तो अपने हिस्से का मुस्तहक़ है और आमदनी से छः महीने या ज़्यादा में पैदा हो तो इस आमदनी से उस को हिस्सा नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अपनी नाबालिग़ औलाद पर वक़्फ़ किया तो वह मुराद हैं जो वक़्फ़ के वक़्त बच्चे हों

अगर्चे आमदनी के वक़्त जवान हों या अंधी या कानी औलाद पर वक़्फ़ किया तो वक़्फ़ के दिन जो अन्धे और काने हैं वह मुराद हैं अगर वक़्फ़ के दिन अंधा न था आमदनी के दिन अंधा हो गया तो मुस्तहक़ नहीं और अगर यूँ वक़्फ़ किया कि उस की आमदनी की मुस्तहक़ मेरी वह औलाद है जो यहाँ सकूनत रखे तो आमदनी के वक़्त यहाँ जिस की सुकूनत होगी वह मुस्तहक़ है वक़्फ़ के दिन अगर्चे यहाँ सुकूनत न थी (आलमगीरी फ़तहुलक़दीर)

मसअ्ला :– अपनी औलाद पर वक़्फ़ किया और शर्त कर दी कि जो यहाँ से चला जाये उस का हिस्सा साक़ित तो जाने के बाद वापस आजाये तो भी हिस्सा नहीं मिलेगा हाँ अगर वाक़िफ़ ने यह भी शर्त की हो कि वापस होने पर हिस्सा मिलेगा तो अब मिलेगा यूँहीं अगर यह शर्त की है कि मेरी औलाद में जो लड़की बेवा हो जाये उस को दिया जाये तो जब तक बेवा होने पर निकाह न करेगी मिलेगा और निकाह करने पर नहीं मिलेगा अगर्चे निकाह के बाद उस के शौहर ने तलाक़ दे दी हो मगर जब कि वाक़िफ़ ने यह शर्त कर दी हो कि फिर बे शौहर वाली हो जाये तो दिया जाये तो अब दिया जायेगा (फ़तहुल क़दीर)

मसअ्ला :– औलादे ज़ुकूर (पुरुष)और ज़ुकूर की औलाद पर वक़्फ़ किया तो इसी के मुवाफ़िक़ तक़सीम होगी और अगर औलादे ज़ुकूर की औलादे ज़ुकूर पर नसलन बाद नस्ल वक़्फ़ किया तो लड़कियों को उसमें से कुछ न मिलेगा बल्कि इस नस्ल में जितने लड़के होंगे वही हक़दार होंगे और ज़ुकूर का सिलसिला ख़त्म होने पर फ़ुक़रा पर सर्फ़ होगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औलाद में जो हाजतमन्द हों उन पर वक़्फ़ किया तो आमदनी के वक़्त जो ऐसे हों वह मुस्तहक़ होंगे अगर्चे वह पहले मालदार थे और जो पहले हाजतमन्द थे और अब मालदार होंगे तो मुस्तहक़ नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मोहताज औलाद पर वक़्फ़ किया था और आमदनी चन्द साल तक तक़सीम नहीं हुई यहाँ तक कि मालदार मोहताज हो गये और मोहताज़ मालदार तो तक़सीम के वक़्त जो मोहताज हों उन को दिया जाये (फ़तहुल क़दीर)

मसअ्ला :– अपनी औलाद में जो आ़लिम हो उस पर वक़्फ़ किया तो ग़ैर आ़लिम को नहीं मिलेगा और फ़र्ज़ करो छोटा बच्चा छोड़ कर मर गया जो बाद में आ़लिम हो गया तो जब तक आ़लिम नहीं हुआ है उसे नहीं मिलेगा और न उस ज़माने की आमदनी का हिस्सा उस के लिए जमअ् रखा जायेगा बल्कि अब से हिस्सा पाने का मुस्तहक़ होगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर औलाद पर वक़्फ़ किया मगर नसलन बाद नसलिन न कहा तो सिर्फ़ सुलबी को मिलेगा और सुलबी औलाद ख़त्म होने पर उन की औलाद मुस्तहक़ नहीं होगी बल्कि मसाकीन का हक़ है और इस सूरत में अगर वक़्फ़ के वक़्त उस शख़्स की सुल्बी औलाद ही न हो और पोता मौजूद है तो पोता ही सुलबी औलाद की जगह है कि जब तक यह ज़िन्दा है हक़दार है और नवासा सुल्बी औलाद की जगह नहीं और वक़्फ़ के बाद सुल्बी औलाद पैदा होगई तो अब से पोता नहीं पायेगा बल्कि सुल्बी औलाद मुस्तहक़ है और फ़र्ज़ करो पोता भी न हो मगर पर पोता और पर पोता का लड़का हो तो यह दोनों हक़दार हैं(ख़ानिया वग़ैरा)

मसअ्ला :– औलाद और औलाद की औलाद पर वक़्फ़ किया तो सिर्फ़ दो ही पुश्त तक की औलाद हक़दार है पोते की औलाद मुस्तहक़ नहीं और उस में भी बेटी की औलाद यानी नवासे नवासियों का हक नहीं और अगर यूँ कहा कि औलाद फिर औलाद की औलाद फिर उन की औलाद यानी तीन पुश्तें ज़िक्र करदीं तो यह ऐसा ही है जैसे नसलन बाद नसलिन और बतनन बाद बतनिन कहता कि जब तक सिलसिलाऔलाद में कोई बाक़ी रहेगा हक़दार है और नस्ल मुन्क़तअ् (ख़त्म)हो जाये तो फ़ुक़रा को मिलेगा (ख़ानिया वगैरहा)

मसअ्ला :– बेटों (बहु वचन)पर वक़्फ़ किया और दो या ज़्यादा हों तो सब बराबर बराबर तक़सीम कर लें और एक ही बेटा हो तो आमदनी में निस्फ़ उसे देंगे और निस्फ़ फ़ुक़रा को और अगर बेटे की औलाद और उस की औलाद की औलाद पर नसलन बाद नसलिन वक़्फ़ किया तो बेटे की तमाम औलाद ज़ुकूर व अनास (लड़का व लड़की)पर बराबर तक़सीम होगा और अगर वक़्फ़ में मर्द को औरत से दूना कहा हो तो बराबर नहीं देंगे बल्कि उस के मुवाफ़िक़ दें जैसा वक़्फ़ में मज़कूर (बयान)है पोते और परपोते दोनों को बराबर दिया जायेगा हाँ अगर वाक़िफ़ ने वक़्फ़ में यह ज़िक्र कर दिया हो कि बतने अअ्ला (क़रीबी बेटा)को दिया जाये वह न हों तो असफ़ल (क़रीबी बेटा नहीं)को तो पोते के होते हुए पर पोते को नहीं देंगे बल्कि अगर एक ही पोता हो तो कुल का यही हक़दार है उस के मरने के बाद तमाम पोते की औलाद को मिलेगा उस पोते की औलाद को भी और जो पोते उस से पहले मर चुके हैं उन की औलादों को भी और अगर यह कह दिया हो कि बतन अअ्ला में जो मरजायें उस का हिस्सा उसकी औलाद को दिया जाये तो जो पोता मौजूद है उसे मिलेगा और जो मर गया है उस का हिस्सा उस की औलाद को मिलेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– आमदनी आगई है मगर अभी तक़सीम नहीं हुई है कि एक हक़दार मर गया तो उस का हिस्सा साक़ित नहीं होगा बल्कि उस के वुरसा को मिलेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने कहा मेरे मरने के बाद मेरी यह ज़मीन मसाकीन पर सदक़ा है और यह ज़मीन एक तिहाई के अन्दर है तो मरने के बाद उसकी आमदनी औलाद को नहीं दी जा सकती अगर्चे फ़क़ीर व मोहताज हो और अगर सेहत में वक़्फ़ करे और मा बाद मौत की तरफ़ मुज़ाफ़ नकरे फिर मरजाये और उस की औलाद में एक या चन्द मिसकीन हों तो उन को देना ब निस्बत दूसरे मसाकीन के ज़्यादा बेहतर है मगर हर एक को निसाब से कम दिया जाये (फ़तावा क़ाज़ी ख़ाँ)

मसअ्ला :– सेहत में फ़ुक़रा पर वक़्फ़ किया और वाक़िफ़ के वुरसा फ़क़ीर हों तो उन को देना ज़्यादा बेहतर है मगर इस बात का लिहाज़ ज़रूरी है कि कुल उन्हें को न दिया जाये बल्कि कुछ उन को दिया जाये और कुछ ग़ैरों को और अगर कुल दिया जाये तो हमेशा न दिया जाये कि कहीं लोग यह न समझने लगें कि उन्हीं पर वक़्फ़ है (ख़ानिया)

मसअ्ला :– सेहत में जो वक़्फ़ फ़ुक़रा पर किया गया उस का मसरफ़ औलाद के बाद सब से बेहतर वाक़िफ़ के क़राबत(क़रीब)वाले हैं फिर उस के आज़ाद करदा गुलाम फिर उस के पड़ोस वाले

---

(1)उर्दू में एक को औलाद बोलते है और यह लफ़्ज़ हमारे यहाँ के मुहावरा में ऐसी जगह बोला जाता है जहाँ अरबी मेंवलद बोलते है वरना अरबी में औलाद के लफ़्ज़ को मुल्की के साथ ख़ुसूसीयत नहीं–12 मिन्हु हफ़िज़ रब्बुहु

फिर उस के शहर के वह लोग जो वाकिफ़ के पास उठने बैठने वाले उस के दोस्त अहबाब थे। (खानिया)
मसअला :– अपनी औलाद पर वक़्फ़ किया और उन के बाद फ़ुक़रा पर और उस की चन्द औलादें हैं उन में से कोई मरजायें तो वक़्फ़ की कुल आमदनी बाक़ी औलाद पर तक़सीम होगी और जब सब मरजायेंगे उस वक़्त फ़ुक़रा को मिलेगी और अगर वक़्फ़ में औलाद का नाम ज़िक्र कर दिया हो कि मैंने अपनी औलाद फ़ुलाँ फ़ुलाँ पर वक़्फ़ किया और उन के बाद फ़ुक़रा पर तो इस सूरत में जो मरेगा उस का हिस्सा फ़ुक़रा को दिया जायेगा अब बाक़ियों पर कुल तक़सीम नहीं होगा (खानिया)
मसअला :– अपनी औलाद पर मकान वक़्फ़ किया है कि यह लोग उस में सुकूनत रखें तो उस में सुकूनत ही कर सकते हैं किराये पर नहीं दे सकते अगर्चे औलाद में सिर्फ़ एक ही शख़्स है और मकान उस की ज़रूरत से ज़्यादा है और अगर उस की औलाद में बहुत से अशख़ास (लोग)हों कि सब उस में सुकूनत नहीं कर सकते जब भी किराया पर नहीं दे सकते बल्कि बाहमी रज़ा मन्दी से नम्बरवार हर एक उस में सुकूनत कर सकता है और अगर मकान मौकूफ़ बहुत बड़ा है जिस में बहुत से कमरे और हुजरे हैं तो मर्दों की औरतें और औरतों के शौहर भी रह सकतें हैं कि मर्द अपनी औरत और नौकर चाकर के साथ अलाहिदा कमरे में रहे और दूसरे लोग दूसरे कमरों में और अगर इतने कमरे और हुजरे न हों कि हर एक अलाहिदा सुकूनत करे तो सिर्फ़ वही लोग रह सकते हैं जिन पर वक़्फ़ है यानी औलादे ज़ुकूर(लड़कों)की बीवियाँ और औलाद अनास(लड़कियों)के ख़ाविन्द नहीं रह सकते (फ़तहुलक़दीर रद्दुल मुहतार)
मसअला :– अगर मकान मौकूफ़ तमाम औलाद के लिए नाकाफ़ी है बाज़ उस में रहते हैं और बाज़ नहीं तो न रहने वाले साकिनान(रहने वाला)से किराया नहीं ले सकते न यह कह सकते हैं कि उतने दिन तुम रह चुके हो और अब हम रहेंगे बल्कि अगर चाहें तो उन्हीं के साथ रह लें(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)
मसअला :– औलाद की सुकूनत के लिए मकान वक़्फ़ किया है उन में से एक ने सारे मकान पर कबज़ा कर रखा है दूसरे को घुसने नहीं देता तो इस सूरत में साकिन पर किराया देना लाज़िम है कि यह ग़ासिब है और ग़ासिब को ज़मान देना पड़ता है (दुर्रे मुख़्तार)
मसअला :– क़राबत वालों पर वक़्फ़ किया तो वक़्फ़ सहीह है और मर्द व औरत दोनों बराबर के हक़दार हैं मर्द को औरत से ज़्यादा हिस्सा नहीं दिया जायेगा और क़राबत वालों में वाकिफ़ की औलाद बेटे पोते वग़ैरा या उस के उसूल बाप, दादा, वग़ैरा का शुमार न होगा उन को हिस्सा नहीं मिलेगा (खानिया)
मसअला :– क़राबत वालों पर वक़्फ़ किया और वाकिफ़ के चचा भी हैं और मामूँ भी चचाओं को मिलेगा मामूँ को नहीं और एक चचा और दो मामूँ हों तो आधा चचा को और आधे में दोनों मामूओं को यह जब कि लफ़्ज़े जमअ् (क़राबत वालों)ज़िक्र किया हो और अगर लफ़्ज़ वाहिद क़राबत वाला कहा तो फ़क़त चचा को मिलेगा (आलमगीरी)
मसअला :– अपनी क़राबत के मोहताजों व फ़ुक़रा पर वक़्फ़ किया तो वक़्फ़ सहीह और क़राबत वालों में उन्हीं को मिलेगा जो मोहताज व फ़क़ीर हों (खानिया)

मसअला :– मकान वक़्फ़ किया और शर्त कर दी कि मेरी फलाँ बेवा जब तक निकाह न करे उस में सुकूनत करे वाक़िफ़ के मरने के बाद उस की बेवा ने निकाह कर लिया तो सुकूनत का हक़ जाता रहा और निकाह के बाद फिर बेवा हो गई या शौहर ने तलाक़ देदी जब भी सुकूनत का हक़ लौटेगा। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मुतवल्ली को वक़्फ़ नामा मिला जिस में यह लिखा है उस मुहल्ले के मोहताजों और दीगर मुसलमान फकीरों पर सर्फ़ किया जाये तो इस मुहल्ला के हर मिस्कीन को एक एक हिस्सा दिया जाये और दूसरे मिस्कीनों का एक हिस्सा और मुहल्ले वाला कोई मिस्कीन मरजाये तो उस का हिस्सा साक़ित और वह हिस्सा बाक़ियों पर तक़सीम हो जायेगा यह उसी वक़्त तक है कि वक़्फ़ नामा जब लिखा गया उस वक़्त मुहल्ला में जो मसाकीन थे वह जब तक ज़िन्दा रहे और वह सब के सब न रहे तो जैसे इस मुहल्ले के मिस्कीन हैं वैसे ही दूसरे मसाकीन यानी अब जो महल्ला में दूसरे मसाकीन होंगे वह एक एक हिस्सा के हक़दार नहीं बल्कि जितना दीगर मसाकीन को मिलेगा उतना ही उन को भी मिलेगा (खानिया)

मसअला :– अपने पड़ोस के फ़ुक़रा पर वक़्फ़ किया तो पड़ोसी से मुराद वह लोग हैं जो उस मुहल्ला की मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं अगर्चे उन का मकान वाक़िफ़ के मकान से मुत्तसिल न हो और एक शख़्स उस मुहल्ला में रहता है मगर जिस मकान में रहता है उस का मालिक दूसरा शख़्स है जो यहाँ नहीं रहता तो मालिक मकान पड़ोसियों में शुमार न होगा बल्कि वह जिसकी यहाँ सुकूनत है वक़्फ़ के वक़्त जो लोग मुहल्ला में थे वह मकान बेच कर चले गये तो पड़ोसी न रहे बल्कि यह हैं जो अब यहाँ रहते हैं (खानिया)

मसअला :– पड़ोसियों पर वक़्फ़ किया था और ख़ुद वाक़िफ़ दूसरे शहर को चला गया अगर वहाँ मकान बनाकर मुक़ीम हो गया तो वहाँ के पड़ोस वाले मुस्तहक़ हैं पहली जगह जहाँ था वहाँ के लोग अब मुस्तहक़ न रहे और अगर वहाँ मकान नहीं बनाया है तो पहली जगह वाले बदस्तूर मुस्तहक़ हैं (खानिया)

मसअला :– एक शख़्स ने अपने शहर के सादात के लिए जायेदाद वक़्फ़ की एक सय्यद साहिब वहाँ से दूसरे शहर को चले गये अगर यहाँ का मकान बेचा नहीं और दूसरे शहर में मकान नहीं बनाया तो यहीं के साकिन हैं और वज़ीफ़ा के मुस्तहक़ हैं (खानिया)

मसअला :– जिन लोगों पर जाइदाद वक़्फ़ की उन सब ने इन्कार कर दिया तो वक़्फ़ जाइज़ और आमदनी फ़ुक़रा पर तक़सीम होगी और बाज़ ने इन्कार किया और वाक़िफ़ ने मौक़ूफ़ अलैहि (जिस पर वक़्फ़ की)को जिस लफ़्ज़ से ज़िक्र किया है वह लफ़्ज़ बाक़ियों पर बोला जाता है तो कुल आमदनी उन बाक़ी लोगों को दी जायेगी और अगर वह लफ़्ज़ नहीं बोला जाता तो जिसने इन्कार कर दिया है उस का हिस्सा फ़क़ीर को दिया जाये मसलन यह कहा कि फ़ुलाँ की औलाद पर वक़्फ़ किया और बाज़ ने इन्कार कर दिया तो सब आमदनी बाक़ियों को मिलेगी और अगर कहा ज़ैद व अम्र पर वक़्फ़ किया और ज़ैद ने इन्कार किया तो उस का हिस्सा अम्र को नहीं मिलेगा बल्कि फ़क़ीर को दिया जाये और अगर किसी शख़्स की औलाद पर वक़्फ़ किया था और सब ने इन्कार कर दिया और आमदनी फ़क़ीरों को देदी गई फिर नई आमदनी हुई तो उस को क़बूल नहीं

कर सकते इन मौजूद लोगों ने इन्कार कर दिया था मगर उस शख़्स के कोई और लड़का पैदा हुआ उस ने क़बूल कर लिया तो सारी आमदनी उसी को मिलेगी (फ़तहुल क़दीर)

मसअ्ला :– एक शख़्स पर अपनी जाइदाद व नसलन बाद नसलिन वक़्फ़ की उस शख़्स ने कहा न मैं अपने लिए क़बूल करता हूँ न अपनी नस्ल के लिए तो अपने हक़ में इन्कार सहीह है और औलाद के हक़ में सहीह नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मौक़ूफ़ अलैहि ने पहले रद कर दिया तो अब क़बूल कर के वक़्फ़ को वापस नहीं ले सकता और जब एक साल उस ने क़बूल कर लिया तो फिर रद नहीं कर सकता और अगर यह कहा कि एक साल का क़बूल नहीं करता हूँ और उस के बाद का क़बूल करता हूँ तो उस साल की आमदनी दीगर मुस्तहक़ीन को मिलेगी फिर उस को मिलेगी (फ़तहुल क़दीर)

मसअ्ला :– वाक़िफ़ ही मुतवल्ली भी है वह आमदनी को अपने हाथ से अपनी क़राबत वालों पर सर्फ़ करता है किसी को कम किसी को ज़्यादा जो उस के ख़याल में आता है उस के मुवाफ़िक़ देता है अब वह फ़ौत हुआ उस ने दूसरे को मुतवल्ली मुक़र्रर किया यह बयान नहीं किया कि किसको ज़्यादा देता था तो यह मुतवल्ली दोम उन्हीं लोगों को दे और ज़्यादती की रक़म का मसरफ़ मालूम नहीं लिहाज़ा उसे फ़ुक़रा पर सर्फ़ करे (ख़ानिया)

मस्जिद का बयान

मसअ्ला :– मस्जिद होने के लिए यह ज़रूर है कि बनाने वाला कोई ऐसा फ़ेअ्ल(काम)करे या ऐसी बात कहे जिस से मस्जिद होना साबित होता हो महज़ मस्जिद की सी इमारत बना देना मस्जिद होने के लिए काफ़ी नहीं।

मसअ्ला :– मस्जिद बनाई और जमाअ़त से नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देदी मस्जिद होगई अगर्चे जमाअ़त में दो ही शख़्स हों मगर यह जमाअ़त अ़लल एअ्लान यानी अज़ान व इक़ामत के साथ हो और अगर तन्हा एक शख़्स ने अज़ान व इक़ामत के साथ नमाज़ पढ़ी इस तरह नमाज़ पढ़ना जमाअ़त के क़ाइम मक़ाम है और मस्जिद हो जायेगी और अगर खुद इस बानी(मस्जिद बनाने वाले) ने तन्हा इस तरह नमाज़ पढ़ी तो यह मस्जिदियत के लिए काफ़ी नहीं कि मस्जिदियत के लिए नमाज़ की शर्त तो इस लिए है कि आ़म्मए मुस्लेमीन का क़ब्ज़ा हो जाये और उस का क़ब्ज़ा तो पहले ही से है आ़म्म–ए–मुस्लेमीन(आम मुसलमानों)के क़ाइम मक़ाम यह खुद नहीं हो सकता(ख़ानिया फ़तहुल क़दीर,दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– यह कहा कि मैंने इस को मस्जिद कर दिया तो इस कहने से भी मस्जिद हो जायेगी

मसअ्ला :– मकान में मस्जिद बनाई और लोगों को उस में आने और नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देदी और मस्जिद का रास्ता अ़लाहिदा कर दिया है तो मस्जिद हो गई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मस्जिद के लिए यह ज़रूर है कि अपनी इमलाक(मिलकियत)से उस को बिलकुल जुदा कर दे उस की मिल्क उस में बाक़ी न रहे लिहाज़ा नीचे अपनी दुकानें हैं या रहने का मकान और ऊपर मस्जिद बनवाई तो यह मस्जिद नहीं या ऊपर अपनी दुकानें या रहने का मकान है और नीचे मस्जिद बनवाई तो यह मस्जिद नहीं बल्कि उस की मिल्क है और उस के बाद उस के वुरसा की

और अगर नीचे का मकान मस्जिद के काम के लिए हो अपने लिए न हो तो मस्जिद हो गई (हिदाया वग़ैराहुमा)यूँहीं मस्जिद के नीचे किराये की दुकानें बनाई गईं या ऊपर मकान बनाया गया जिन की आमदनी मस्जिद में सर्फ़ होगी तो हर्ज नहीं या मस्जिद के नीचे ज़रूरते मस्जिद के लिए तहख़ाना बनाया कि उस में पानी वग़ैरा रखा जायेगा या मस्जिद का सामान उस में रहेगा तो हर्ज़ नहीं (आलमगीरी)मगर यह उस वक़्त है कि मस्जिद पूरी होने से पहले दुकानें या मकान बना लिया हो और मस्जिद हो जाने के बाद न उस के नीचे दुकान बनाई जा सकती न ऊपर मकान (दुर्रे मुख़्तार)यानी मसलन एक मस्जिद को मुन्हदिम कर के फिर उसकी तअ्मीर कराना चाहें और पहले उस के नीचे दुकानें न थीं और अब इस जदीद तअ्मीर में दुकान बनवाना चाहें तो नहीं बना सकते कि यह तो पहले ही से मस्जिद है अब दुकान बनाने के यह मअ्ना होंगे कि मस्जिद को दुकान बना लिया।

मसअ्ला :– मस्जिद के लिए इमारत ज़रूरी नहीं यानी ख़ाली ज़मीन अगर कोई शख़्स मस्जिद कर दे तो मस्जिद है मसलन ज़मीन के मालिक ने लोगों से कह दिया कि उस में हमेशा नमाज़ पढ़ा करो तो मस्जिद हो गई और अगर हमेशा का लफ़्ज़ नहीं बोला मगर उस की नियत यही है जब भी मस्जिद है और अगर न लफ़्ज़ है और न नियत मसलन नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे दी और नियत कुछ नहीं या महीना भर, साल भर, एक दिन के लिए नमाज़ पढ़ने को कहा तो वह ज़मीन मस्जिद नहीं बल्कि उस की मिल्क है उस के मरने के बाद उस के वुरसा की मिल्क है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक मकान मस्जिद के नाम वक़्फ़ था मुतवल्ली ने उसे मस्जिद बना दिया और लोगों ने चन्द साल तक उस में नमाज़ भी पढ़ी फिर नमाज़ पढ़ना छोड़ दिया अब उसे किराये का मकान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं क्योंकि मुतवल्ली के मस्जिद करने से वह मस्जिद नहीं हुआ (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मरीज़ ने अपने मकान को मस्जिद कर दिया अगर वह मकान मरीज़ के तिहाई माल के अन्दर है तो मस्जिद बनाना सहीह है मस्जिद हो गया और तिहाई से ज़ाइद है और वुरसा ने इजाज़त दे दी जब भी मस्जिद है और वुरसा ने इजाज़त नहीं दी तो कुल का कुल मीरास है और मस्जिद नहीं हो सकता कि उस में वुरसा भी हक़दार हैं और मस्जिद को हुक़ूक़ुलइबाद से जुदा होना ज़रूरी है यूँहीं एक शख़्स ने ज़मीन ख़रीद कर मस्जिद बनाई बाइअ् (बेचने वाले) के एलावा कोई दूसरा शख़्स भी उस में हक़दार निकला तो मस्जिद नहीं रही और अगर यह वसियत की कि मेरे मरने के बाद मेरा तिहाई मकान मस्जिद बना दिया जाये तो वसीयत सहीह है मकान तक़सीम कर के एक तिहाई को मस्जिद कर देंगे (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अहले मुहल्ला यह चाहते हैं कि मस्जिद को तोड़ कर पहले से उमदा व मुस्तहकम बनायें तो बना सकते हैं बशर्ते कि अपने माल से बनायें मस्जिद के रुपये से तअ्मीर न करें और दूसरे लोग ऐसा करना चाहते हों तो नहीं कर सकते और अहले मुहल्ला को यह भी इख़्तियार है कि मस्जिद को वसीअ् करें उस में हौज़ और कुआँ और ज़रूरत की चीज़ें बनायें वुज़ू और पीने के लिए मटकों में पानी रखवाएं झाड़, हान्डी, फ़ानूस वग़ैरा लगायें बानी मस्जिद के वुरसा को मनअ् करने का हक़ नहीं जब कि वह अपने माल से ऐसा करना चाहते हों और अगर बानी मस्जिद अपने पास

से करना चाहता है और अहले महल्ला अपनी तरफ़ से तो बानी मस्जिद ब निस्बत अहले महल्ला के ज़्यादा हक़दार है हौज़ और कुआँ बनवाने में यह शर्त है कि उन की वजह से मस्जिद को किसी क़िस्म का नुक़सान न पहुँचे (रद्दुल मुहतार)और यह भी ज़रूर है कि पहले जितनी मस्जिद थी उस के एलावा दूसरी ज़मीन में बनाये जायें मस्जिद में नहीं बनाये जा सकते।

मसअला :– इमाम मुअज़्ज़िन मुक़र्रर करने में बानी मस्जिद या उस की औलाद का हक़ ब निस्बत अहले महल्ला के ज़्यादा है मगर जब कि अहले महल्ला ने जिस को मुक़र्रर किया वह बानी मस्जिद के मुक़र्रर करदा से औला है तो अहले महल्ला ही का मुक़र्रर कर्दा इमाम होगा (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– अहले महल्ला को यह भी इख़्तियार है कि मस्जिद का दरवाज़ा दूसरी जानिब मुन्तक़िल कर दें और अगर इस बाब में रायें मुख़्तलिफ़ हों तो जिस तरफ़ कसरत(ज़्यादा राय) हो और अच्छे लोग हों उन की बात पर अमल किया जाये (रद्दुल मुहतार, आलमगीरी)

मसअला :– मस्जिद की छत पर इमाम के लिए बाला ख़ाना बनाना चाहता है अगर क़ब्ले तमाम मस्जिदियत हो तो बना सकता है और मस्जिद हो जाने के बाद नहीं बना सकता अगर्चे कहता हो कि मस्जिद होने के पहले से मेरी नियत बनाने की थी बल्कि अगर दीवारे मस्जिद पर हुजरा बनाना चाहता हो तो उस की भी इजाज़त नहीं यह हुक्म ख़ुद वाक़िफ़ और बानी–ए–मस्जिद का है लिहाज़ा जब उसे इजाज़त नहीं तो दूसरे बदरजा औला नहीं बना सकते अगर इस क़िस्म की कोई नाजाइज़ इमारत छत या दीवार पर बना दी गई हो तो उसे गिरा देना वाजिब है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मस्जिद का कोई हिस्सा किराये पर देना कि उस की आमदनी मस्जिद पर सर्फ़ होगी हराम है अगर्चे मस्जिद को ज़रूरत भी हो यूँही मस्जिद को मसकन(ठहरने की जगह) बनाना भी नाजाइज़ है यूँही मस्जिद के किसी जुज़ को हुजरे में शामिल कर लेना भी नाजाइज़ है(दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मुसल्लियों (ना माज़ियों) की कसरत की वजह से मस्जिद तंग हो गई और मस्जिद के पहलू में किसी शख़्स की ज़मीन है तो उसे ख़रीद कर मस्जिद में इज़ाफ़ा करें और अगर वह न देता हो तो वाजिबी क़ीमत देकर जबरन उस से ले सकते हैं यूँहीं अगर पहलू–ए–मस्जिद में कोई ज़मीन या मकान है जो उसी मस्जिद के नाम वक़्फ़ है या किसी दूसरे काम के लिए वक़्फ़ है तो उस को मस्जिद में शामिल कर के इज़ाफ़ा करना जाइज़ है अल्लबत्ता इस की ज़रूरत है कि क़ाज़ी से इजाज़त हासिल कर लें यूँहीं अगर मस्जिद की बराबर वसीअ़ रास्ता हो उस में से अगर जुज़ मस्जिद में शामिल कर लिया जाये जाइज़ है जब कि रास्ता तंग न हो जाये और उस की वजह से लोगों का हर्ज न हो (आलमगीरी)

मसअला :– मस्जिद तंग हो गई एक शख़्स कहता है मस्जिद मुझे देदो उसे मैं अपने मकान में शामिल कर लूँ और उस के एवज़ में वसीअ़ और बेहतर ज़मीन तुम्हें देता हूँ तो मस्जिद को बदलना जाइज़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– मस्जिद बनाई और शर्त कर दी कि मुझे इख़्तियार है कि उसे मस्जिद रखूँ या न रखूँ तो शर्त बातिल है और वह मस्जिद हो गई यानी मस्जिदियत के इबताल (ख़त्म करने)का उसे हक़

नहीं यूँहीं मस्जिद को अपने या अहले महल्ला के लिए ख़ास कर देतो ख़ास न होगी दूसरे महल्ला वाले भी उस में नमाज़ पढ़ सकते हैं उसे रोकने का कुछ इख़्तियार नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मस्जिद के आस पास की जगह वीरान हो गई वहाँ लोग रहे नहीं कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ें यानी मस्जिद बिल्कुल बेकार होगई जब भी वह बदस्तूर मस्जिद है किसी को यह हक़ हासिल नहीं कि उसे तोड़ फोड़ कर उस के ईंट पत्थर वग़ैरा अपने काम में लाये या उसे मकान बनाले यानी वह क़ियामत तक मस्जिद है (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला :– मस्जिद की चटाई जानमाज़ वग़ैरा अगर बेकार हों और उस मस्जिद के लिए कारआमद न हों तो जिस ने दिया है वह जो चाहे करे उसे इख़्तियार है और मस्जिद वीरान होगई कि वहाँ लोग रहे नहीं तो उस का सामान दूसरी मस्जिद को मुन्तक़िल कर दिया जाये बल्कि ऐसी मस्जिद मुन्हदिम हो जाये और अंदेशा हो कि उस का अ़मला लोग उठा ले जायेंगे और अपने सर्फ़ (ख़र्च)में लायेंगे तो उसे भी दूसरी मस्जिद की तरफ़ मुन्तक़िल कर देना जाइज़ है (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– जाड़े के मौसम में मस्जिद में प्याल डलवाया था जाड़े निकल जाने के बाद बेकार हो गया तो जिसने डलवाया उसे इख़्तियार है जो चाहे करे और उस ने मस्जिद से निकलवाकर बाहर डलवा दिया तो जो चाहे ले जा सकता है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– बाज़ लोग मस्जिद में जो प्याल बिछाते हैं उसे सक़ाया (पानी गर्म करने की जगह)की आग जलाने के काम में लाते हैं यह नाजाइज़ है यूँहीं सक़ाया की आग घर ले जाना या उस से चिलम भरना सक़ाया का पानी लेजाना यह सब नाजाइज़ है हाँ जिस ने पानी भरवाया और गर्म कराया है अगर वह उस की इजाज़त दे दे तो ले जा सकते हैं जब कि उस ने अपने पास से सर्फ़ किया है और मस्जिद का पैसा सर्फ़ किया हो तो उसकी इजाज़त भी नहीं दे सकता।

मसअ्ला :– मस्जिद की अशया जैसे लोटा, चटाई, वग़ैरा को किसी दूसरी ग़र्ज़ में इस्तिअ्माल नहीं कर सकते मसलन लोटे में पानी भर कर अपने घर नहीं ले जा सकते अगर्चे यह इरादा हो कि फिर वापस कर जाऊँगा उस की चटाई अपने घर या किसी दूसरी जगह बिछाना नाजाइज़ है यूंहीं मस्जिद के डोल रस्सी से अपने घर के लिए पानी भरना या किसी छोटी से छोटी चीज़ को बे मोक़अ् और बे महल इस्तिअ्माल करना नाजाइज़ है।

मसअ्ला :– तेल या मोम बत्ती मस्जिद में जलाने के लिए दी और बच रही तो दूसरे दिन काम मेंलायें और अगर ख़ास दिन के लिए दी है मसलन रमज़ान या शबे क़द्र के लिए तो बची हुई मालिक को वापस दी जाये इमाम मुअज़्ज़िन को बग़ैर इजाज़त लेना जाइज़ नहीं हाँ अगर वहाँ का उ़र्फ़ हो कि बची हुई इमाम व मुअज़्ज़िन की है तो इजाज़त की ज़रूरत नहीं (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने अपने तिहाई माल की वसियत की कि नेक कामों में सर्फ़ किया जाये तो उस माल से मस्जिद में चिराग़ जलाया जा सकता है मगर उतने ही चिराग़ इस माल से जलाये जा सकते हैं जितने की ज़रूरत है ज़रूरत से ज़्यादा महज़ तज़ईन (सजावट) के लिए इस रक़म से नहीं जलाये सकते। (ख़ानिया)

मसअला :– एक शख़्स ने अपनी जाइदाद इस तरह वक़्फ़ की है कि उस की आमदनी मस्जिद की इमारत व मरम्मत में लगाई जाये और जो बच रहे फ़ुक़रा पर सर्फ़ की जाये और वक़्फ़ की आमदनी बची हुई मौजूद है और मस्जिद को उस वक़्त तअ्मीर की हाजत भी नहीं है अगर यह गुमान हो कि जब मस्जिद में तअ्मीर व मरम्मत की ज़रूरत होगी उस वक़्त तक ज़रूरत के लाइक़ उस की आमदनी जमअ् हो जायेगी तो उस वक़्त जो कुछ जमअ् है फ़ुक़रा पर सर्फ़ कर दिया जाये। (ख़ानिया)

मसअला :– मस्जिद मुन्हदिम हो गई और उस के औक़ाफ़ की आमदनी इतनी मौजूद है कि उस से फिर मस्जिद बनाई जा सकती है तो इस आमदनी को तअ्मीर में सर्फ़ करना जाइज़ है (ख़ानिया)

मसअला :– मस्जिद के औक़ाफ़ की आमदनी से मुतवल्ली ने कोई मकान ख़रीदा और यह मकान मुअज़्ज़िन या इमाम को रहने के लिए दे दिया अगर उन को मालूम है तो उस में रहना मकरूह व ममनूअ् है यूँहीं मस्जिद पर जो मकान इस लिए वक़्फ़ है कि उन का किराया मस्जिद में सर्फ़ होगा यह मकान भी इमाम व मुअज़्ज़िन को रहने के लिए नहीं दे सकता और दे दिया तो उन क रहना मनअ् है (ख़ानिया)

मसअला :– मुतवल्ली ने अगर मस्जिद के लिए चटाई, जा नमाज़, तेल, वग़ैरा ख़रीदा अगर वाक़िफ़ ने मुतवल्ली को यह सब इख़्तियार दिए हों या कह दिया हो कि मस्जिद की मसलिहत के लिए जो चाहो ख़रीदो या मालूम न हो कि मुतवल्ली को ऐसी इजाज़त दी है मगर इस से पहला मुतवल्ली यह चीज़ें ख़रीदता था तो इस का ख़रीदना जाइज़ है और अगर मालूम है कि सिर्फ़ इमारत के मुतअ़ल्लिक़ इख़्तियार दिया है तो ख़रीदना नाजाइज़ है (ख़ानिया)

मसअला :– मस्जिद बनाई और कुछ सामान लकड़ियाँ ईंटें वग़ैरा बच गईं तो यह चीज़ें इमारत ही में सर्फ़ की जायें उन को फ़रोख़्त कर के तेल, चटाई में सर्फ़ नहीं कर सकते (ख़ानिया)

मसअला :– मस्जिद के लिए चन्दा किया और उस में से कुछ रक़म अपने सर्फ़ में लाया अगर्चे यही ख़याल है कि उस का मुआवज़ा अपने पास से देदेगा जब भी ख़र्च करना नाजाइज़ है फिर अगर मालूम है कि किस ने वह रुपया दिया था तो उसे तावान दे या उस से इजाज़त लेकर मस्जिद में तावान सर्फ़ करे और मालूम न हो किसने दिया था तो क़ाज़ी के हुक्म से मस्जिद में तावान सर्फ़ करे और ख़ुद बग़ैर इज़्ने क़ाज़ी मस्जिद में उस तावान को सर्फ़ कर दिया तो उम्मीद है कि इस के वबाल से बच जाये। (ख़ानिया)

मसअला :– मस्जिद या मदरसा पर कोई जाइदाद वक़्फ़ की और हुनूज़ वह मस्जिद या मदरसा मौजूद भी नहीं मगर उस के लिए जगह तजवीज़ कर ली है तो वक़्फ़ सहीह है और जब तक उस की तअ्मीर न हो वक़्फ़ की आमदनी फ़ुक़रा पर सर्फ़ की जाये और जब बन जाये तो फिर उस पर सर्फ़ हो (फ़तहुल क़दीर)

मसअला :– मस्जिद के लिए मकान या कोई चीज़ हिबा की तो हिबा सहीह है और मुतवल्ली का क़ब्ज़ा दिलादेने से हिबा तमाम हो जायेगा और अगर कहा यह सौ रुपये मस्जिद के लिए वक़्फ़ किए तो यह भी हिबा है बग़ैर क़ब्ज़ा हिबा तमाम नहीं होगा यूँही दरख़्त मस्जिद को दिया तो इस में भी क़ब्ज़ा ज़रूरी है (आलमगीरी)

मसअला :– मुअज़्ज़िन व जारूब कश वग़ैरा को मुतवल्ली उसी तनख़्वाह पर नौकर रख सकता है

जो वाजिबी तौर पर होनी चाहिए और अगर इतनी ज़्यादा(तन्ख़्वाह)मुक़र्रर की जो दूसरे लोग न देते तो माले वक़्फ़ से इस तनख़्वाह का अदा करना जाइज़ नहीं और देगा तो तावान देना पड़ेगा बल्कि अगर मुअज़्ज़िन वग़ैरा को मालूम है कि माले वक़्फ़ से यह तन्ख़्वाह देता है तो लेना भी जाइज़ नहीं। (फ़तहुलक़दीर)

मसअ्ला :– मुतवल्ली मस्जिद बे पढ़ा शख़्स है उस ने हिसाब किताब के लिए एक शख़्स को नौकर रखा तो माले वक़्फ़ से उस को तन्ख़्वाह देना जाइज़ नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मस्जिद की आमदनी से दुकान या मकान ख़रीदना कि उसकी आमदनी मस्जिद में सर्फ़ होगी और ज़रूरत होगी तो बैअ् (बेच)कर दिया जायेगा यह जाइज़ है जब कि मुतवल्ली के लिए उस की इजाज़त हो (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मस्जिद के लिए औक़ाफ़ हैं मगर कोई मुतवल्ली नहीं अहले महल्ला में से एक शख़्स उस की देख भाल और काम करने के लिए खड़ा हो गया और उस वक़्फ़ की आमदनी को ज़रूरियाते मस्जिद में सर्फ़ किया तो दियानतन उस पर तावान नहीं (आलमगीरी)और ऐसी सूरत का हुक्म यह है कि क़ाज़ी के पास दर ख़्वास्त दें वह मुतवल्ली मुक़र्रर कर देगा मगर चूँकि आजकल यहाँ इस्लामी सलतनत नहीं और न क़ाज़ी है इस मजबूरी की वजह से अगर ख़ुद अहले महल्ला किसी को मुन्तख़ब कर लें कि वह ज़रूरियाते मस्जिद को अन्जाम दे तो जाइज़ है क्योंकि ऐसा न करने में वक़्फ़ के ज़ाइअ् होने का अन्देशा है।

मसअ्ला :– मस्जिद का मुतवल्ली मौजूद हो तो अहले महल्ला को औक़ाफ़े मस्जिद में तसर्रुफ़ करना मसलन दुकानात वग़ैरा को किराये पर देना जाइज़ नहीं मगर उन्होंने ऐसा कर लिया और मस्जिद के मसालेह के लिहाज़ से यही बेहतर था तो हाकिम उन के तसर्रुफ़ को नाफ़िज़ कर देगा(आलमगीरी)

मसअ्ला :– मस्जिद के औक़ाफ़ बेचकर उस की इमारत पर सर्फ़ कर देना जाइज़ है और वक़्फ़ की आमदनी से कोई मकान ख़रीदा था तो उसे बेच सकते हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मस्जिद के नाम एक ज़मीन वक़्फ़ थी और वह अब काश्त के क़ाबिल न रही यानी उस से आमदनी नहीं होती किसी ने उस में तालाब खुदवालिया कि आम्मए मुस्लिमीन इस से फ़ायदा उठायें उस का यह फ़ेअ्ल नाजाइज़ है और उस तालाब में नहाना और धोना और उस के पानी से फ़ायदा उठाना नाजाइज़ है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुसलमानों पर कोई हादसा आ पड़ा जिस में रुपया ख़र्च करने की ज़रूरत है और उस वक़्त रुपया की कोई सबील नहीं है मगर औक़ाफ़ मस्जिद की आमदनी जमअ् है और मस्जिद को उस वक़्त हाजत भी नहीं तो बतौर क़र्ज़ मस्जिद से रक़म ली जा सकती है। (आलमगीरी)

क़ब्रिस्तान वग़ैरा का बयान

मसअ्ला :– क़बरों के लिए ज़मीन वक़्फ़ की तो वक़्फ़ सहीह है और असह यह है कि वक़्फ़ करने से ही वाक़िफ़ की मिल्क से ख़ारिज हो गई अगर्चे न अभी मुर्दा दफ़न किया हो और न अपने क़ब्ज़ा से निकालकर दूसरे को क़ब्ज़ा दिलाया हो।

मसअ्ला :– ज़मीन क़ब्रिस्तान के लिए वक़्फ़ की और उस में बड़े बड़े दरख़्त हैं तो दरख़्त वक़्फ़ में दाख़िल नहीं वाक़िफ़ या उस के वुरसा की मिल्क है यूँहीं उस ज़मीन में इमारत है तो यह भी वक़्फ़

में दाखिल नहीं। (खानिया)

मसअला :– गाँव वालों ने कब्रिस्तान के लिए ज़मीन वक़्फ़ की और मुर्दे भी उस में दफ़न किए उसी गाँव के किसी शख़्स ने उस ज़मीन में इसलिए मकान बनाया कि तख़्ते वग़ैरा कब्रिस्तान के ज़रूरियात उस में रखे जायेंगे और वहाँ हिफ़ाज़त के लिए किसी को मुक़र्रर कर दिया अगर यह सब काम तन्हा उसी ने दूसरों के बग़ैर मरज़ी किए या बाज़ दूसरे भी राज़ी थे तो अगर कब्रिस्तान में वुसअत है तो कोई हर्ज नहीं यानी जब कि यह मकान कब्रिस्तान पर न बनाया हो और मकान बनने के बाद अगर इस ज़मीन की मुर्दा दफ़न करने के लिए ज़रूरत पड़ गई तो इमारत उठवा दीजाये (खानिया)

मसअला :– वक़्फ़ी कब्रिरस्तान में जिस तरह ग़रीब लोग अपने मुर्दे दफ़न कर सकते हैं मालदार भी दफ़न कर सकते हैं उस में फ़ुक़रा की तख़सीस नहीं। (तबईन)

मसअला :– कुफ़्फ़ार का कब्रिस्तान है उसे मुसलमान अपना कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं अगर उन के निशानात मिट चुके हैं हड्डियाँ भी गल गई हैं तो हर्ज नहीं और अगर हड्डियाँ बाक़ी हैं तो खोद कर फेंक दें और अब उसे कब्रिस्तान बना सकते हैं (आलमगीरी)

मसअला :– मुसलमानों का कब्रिस्तान है जिस में क़ब्र के निशान भी मिट चुके हैं हड्डियों का भी पता नहीं जब भी उस को खेत बनाना या उस में मकान बनाना नाजाइज़ है और अब भी वह कब्रिस्तान ही है कब्रिस्तान के तमाम आदाब बजा लाये जायें (आलमगीरी)

मसअला :– कब्रिस्तान में किसी ने अपने लिए क़ब्र खुदवा रखी है अगर कब्रिस्तान में जगह मौजूद है तो दूसरे को उस क़ब्र में दफ़न करना न चाहिए और जगह मौजूद न हो तो दूसरे लोग अपना मुर्दा उस में दफ़न कर सकते हैं बाज़ लोग मस्जिद में जगह घेरने के लिए पहले से रुमाल रख देते हैं या मुसल्ला बिछा देते हैं अगर मस्जिद में जगह हो तो दूसरे का रुमाल या जानमाज़ हटा कर बैठना न चाहिए अगर जगह न हो तो बैठ सकता है (फ़तावा क़ाज़ी ख़ाँ)

मसअला :– ज़मीने ममलूक (ऐसी ज़मीन जिस का मालिक हो) में बग़ैर इजाज़ते मालिक किसी ने मुर्दा दफ़न कर दिया तो मालिके ज़मीन को इख़्तियार है कि मुर्दा को निकलवादे या ज़मीन बराबर कर के खेती करे। (खानिया)

मसअला :– कब्रिस्तान में किसी ने दरख़्त लगाये तो कब्रिस्तान के क़रार पायेंगे यानी क़ाज़ी के हुक्म से बेचकर उसी कब्रिस्तान की दुरुस्ती में सर्फ़ किया जाये (आलमगीरी)

मसअला :– मस्जिद में किसी ने दरख़्त लगाये तो दरख़्त मस्जिद का है लगाने वाले का नहीं और ज़मीने मौक़ूफ़ा (वक़्फ़ की ज़मीन) में किसी ने दरख़्त लगाये अगर यह शख़्स उस ज़मीन की निगरानी के लिए मुक़र्रर है या वाक़िफ़ ने दरख़्त लगाया या वक़्फ़ का माल उस पर सर्फ़ किया या अपना ही माल सर्फ़ किया मगर कह दिया कि वक़्फ़ के लिए यह दरख़्त लगाया तो इन सूरतों में वक़्फ़ का है वरना लगाने वाले का दरख़्त काट डाले जड़ें बाक़ी रह गईं इन जड़ों से फिर दरख़्त निकल आया तो यह उसी की मिल्क है जिस की मिल्क में पहला था। (खानिया, फ़तहुल क़दीर, आलमगीरी)

मसअला :– वक़्फ़ी ज़मीन किराये पर ली और उस में दरख़्त भी लगादिए तो दरख़्त उसी के हैं उस के

बाद उस के वुरसा के और इजारा फ़स्ख़ होने पर उस को अपना दरख़्त निकाल लेना होगा। (ख़ानिया)

मसअ्ला :– मस्जिद में अनार या अमरुद वग़ैरा फलदार दरख़्त हैं मुसल्लियों को उस के फल खाना जाइज़ नहीं बल्कि जिस ने बोया है वह भी नहीं खा सकता कि दरख़्त उसका नहीं बल्कि मस्जिद का है फिर बेचकर मस्जिद पर सर्फ़ किया जाये (ख़ानिया)

मसअ्ला :– मुसाफ़िर ख़ाना में फलदार दरख़्त हैं अगर ऐसे दरख़्त हों जिन के फलों की क़ीमत नहीं होती तो मुसाफ़िर खा सकते हैं और क़ीमत वाले फल हों तो एहतियात यह है कि न खायें (आलमगीरी)यह सब उस सूरत में है कि मालूम न हो कि दरख़्त लगाने वाले की क्या नियत थी या मालूम हो कि मस्जिद या मुसाफ़िर ख़ाना के लिए लगाया है और अगर मालूम हो कि आम मुसलमानों के खाने के लिए लगाया है तो जिसका जी चाहे खाले (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– वक़्फ़ी मकान में वक़्फ़ी दरख़्त हो तो दरख़्त बेचकर मकान की मरम्मत में लगाना जाइज़ नहीं बल्कि मकान की मरम्मत ख़ुद उस मकान के किराये से होगी(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– वक़्फ़ी मकान में फलदार दरख़्त हों तो किराया दार को उस के फल खाना जाइज़ नहीं जब कि वक़्फ़ के लिए दरख़्त लगाये हों या दरख़्त लगाने वाले की नियत मालूम न हो (बहर्रुराइक़)

मसअ्ला :– वक़्फ़ी दरख़्त का कुछ हिस्सा ख़ुश्क हो गया कुछ बाक़ी है तो ख़ुश्क को उस मसरफ़ में ख़र्च करे जहाँ उस की आमदनी ख़र्च होती है (बहर)

मसअ्ला :– सड़क और गुज़रगाह पर दरख़्त इस लिए लगाये गये कि राहगीर इस से फ़ाइदा उठायें तो यह लोग उन के फल खा सकते हैं और अमीर और ग़रीब दोनों खा सकते हैं यूँहीं जंगल और रास्ते में जो पानी रखा हो या सबील का पानी है हर एक पी सकता है जनाज़ा की चारपाई अमीर व ग़रीब दोनों काम में ला सकते हैं और क़ुर्आन मजीद में हर शख़्स तिलावत कर सकता है(ख़ानिया)

मसअ्ला :– कुँए के पानी की रोक टोक नहीं ख़ुद भी पी सकते हैं जानवर को भी पिला सकते हैं पानी पीने के लिए सबील लगाई है तो इस से वुज़ू नहीं कर सकते अगर्चे कितना ही ज़्यादा हो और वुज़ू के लिए वक़्फ़ हो तो उसे पी नहीं सकते (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक मकान क़ब्रिस्तान पर वक़्फ़ है या मकान मुनहदिम होकर खन्डहर हो गया और किसी काम का न रहा फिर किसी शख़्स ने अपने माल से इस जगह में मकान अपना बनाया तो सिर्फ़ इमारत उस की है ज़मीन का मालिक नहीं (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– हाजियों के ठहरने के लिए मकान वक़्फ़ किया है तो दूसरे लोग उस में नहीं ठहर सकते और हज का मौसम ख़त्म होने के बाद किराये पर दिया जाये और उस की आमदनी मरम्मत में ख़र्च की जाये इस से बच जाये तो मसाकीन पर सर्फ़ कर दी जाये (आलमगीरी)

मसअ्ला :– ज़मीन ख़रीद कर रास्ते के लिए वक़्फ़ कर दी कि लोग चलेंगे या सड़क बनवा दी यह वक़्फ़ सहीह है उस के वुरसा दअ्वा नहीं कर सकते यूँहीं पुल बना कर वक़्फ़ किया तो यह पुल की इमारत वक़्फ़ है (ख़ानिया)

वक़्फ़ में शराइत का बयान

वाकिफ़ (वक़्फ़ करने वाले) को इख़्तियार है जिस किस्म की चाहे वक़्फ़ में शर्त लगाये और जो शर्त लगायेगा उस का एअ्तिबार होगा हाँ ऐसी शर्त लगाई जो ख़िलाफ़े शरअ् है तो यह शर्त बातिल है और इसका एअ्तिबार नहीं (रद्दुल मुह्तार)

मसअ्ला :– चन्द जगहों में वाकिफ़ की शर्त का एअ्तिबार नहीं बल्कि उस के ख़िलाफ़ अमल किया जायेगा मसलन उस ने यह शर्त लिख दी कि जाइदाद अगर्चे बेकार हो जाये उस का तबादिला न किया जाये तो अगर क़ाबिले इन्तिफ़ाअ् (फ़ाइदा के लाइक़) न रहे तबादिला किया जायेगा और शर्त का लिहाज़ नहीं किया जायेगा या यह शर्त है कि मुतवल्ली को काज़ी मअ्ज़ूल नहीं कर सकता या वक़्फ़ में क़ाज़ी वग़ैरा कोई मुदाख़लत न करे कोई उस की निगरानी न करे यह शर्त भी बातिल है कि ना अहल को काज़ी ज़रूर मअ्ज़ूल कर देगा वक़्फ़ की काज़ी की तरफ़ से निगरानी ज़रूर होगी या यह शर्त है कि वक़्फ़ की ज़मीन या मकान एक साल से ज़्यादा के लिए किसी को किराया पर न दिया जाये और एक साल के लिए किराये पर कोई लेता नहीं ज़्यादा दिनों के लिए लोग माँगते हैं या एक साल के लिए दिया जाये तो किराये की शरह कम मिलती है और ज़्यादा दिनों के लिए दिया जाये तो ज़्यादा शरह से मिलेगा तो काज़ी को जाइज़ है वाकिफ़ की शर्त की पाबन्दी न करे मगर मुतवल्ली शर्त के ख़िलाफ़ नहीं कर सकता या यह शर्त की कि उस की आमदनी फ़ुलाँ मस्जिद के साइल को दी जाये तो मुतवल्ली दूसरे मस्जिद के साइल को या बेरुने मस्जिद जो साइल हैं उन को या ग़ैर साइल को भी दे सकता है या यह शर्त की कि हर रोज़ फ़क़ीरों को इस क़द्र रोटी गोश्त दिया जाये तो रोटी गोश्त की जगह कीमत भी दे सकता है (रद्दुल मुह्तार)

मसअ्ला :– मकान वक़्फ़ किया यूँ कि फ़ुलाँ शख़्स को उसकी आमदनी दीजाये और यह शर्त की कि मरम्मत ख़ुद मौक़ूफ़ अ़लैहि के ज़िम्मे है तो वक़्फ़ सहीह है और शर्त सहीह नहीं कि मरम्मत उसके ज़िम्मे नहीं बल्कि आमदनी से की जायेगी (रद्दुल मुह्तार)

मसअ्ला :– वाकिफ़ ने यह शर्त की है कि जब तक मैं ज़िन्दा रहूँ कुल आमदनी या उसके इतने जुज़ का मैं मुस्तहक़ हूँ और मेरे बाद फ़ुक़रा को मिले या यह शर्त कि आमदनी से मेरा क़र्ज़ अदा किया जाये फिर फ़ुक़रा को या यह कि मेरी ज़िन्दगी तक मैं लूँगा फिर क़र्ज़ अदा होगा फिर फ़ुक़रा को यह सब सूरतें जाइज़ हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला :–फ़क़त इतना ही कहा कि अल्लाह के लिए यह सदक़ा मौक़ूफ़ा है इस शर्त पर कि जब तक मैं ज़िन्दा हूँ आमदनी मैं लूँगा तो वक़्फ़ सहीह है कि अगर्चे उस में ताबीद(हमेशगी की शर्त) नहीं है न फ़ुक़रा का ज़िक्र है मगर लफ़्ज़ सदक़ा से ताबीद और बाद में फ़ुक़रा ही के लिए होना समझा जाता है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– वाकिफ़ ने अपने लिए शर्त की कि उसकी आमदनी मैं ख़ुद भी खाऊँगा और दोस्त अहबाब मेहमानों को भी खिलाऊँगा इस से जो बचे फ़ुक़रा के लिए है और इसी तरह अपनी औलाद के लिए नसलन बाद नसलिन यही शर्त लगाई तो वक़्फ़ व शर्त दोनों जाइज़ (आलमगीरी)

मसअला :– यह शर्त की है कि अपने ऊपर और अपनी औलाद व ख़ुद्दाम पर ख़र्च करूँगा और
वक़्फ़ का ग़ल्ला आया उसे बेचडाला और समन पर कब्ज़ा भी कर लिया मगर ख़र्च करने से पहले
मर गया तो यह रक़म तरका है वारिसों का हक़ है फ़ुक़रा और वक़्फ़ वालों का हक़ नहीं।(फ़तहुल क़दीर)
मसअला :– वक़्फ़ में यह शर्त की कि फ़ुलाँ वारिस को वक़्फ़ की आमदनी से बक़द्र किफ़ायत दिया
जाये तो जब तक यह तन्हा है तन्हा के लाइक़ मसारिफ़ दिये जायें और जब बाल बच्चों वाला हो जाये तो
इतना दिया जाये कि सब के लिए काफ़ी हो कि इन सब के मसारिफ़ उसी के साथ शुमार होंगे(आलमगीरी)

वक़्फ़ में तबादले की शर्त

मसअला :– वाक़िफ़ जायदादे मौक़ूफ़ा के तबादिले की शर्त लगा सकता है कि मैं या फ़ुलाँ शख़्स
जब मुनासिब जानेंगे उस को दूसरी जाइदाद से बदल देंगे इस सूरत में यह दूसरी जाइदाद उस
मौक़ूफ़ा के क़ाइम मक़ाम होगी और तमाम वह शराइत जो वक़्फ़ नामा में थे वह सब इस में जारी
होंगे अगर्चे वक़्फ़ नामा में यह न हो कि बदलने के बाद दूसरी पहली के क़ाइम मक़ाम होगी और
उस के तमाम शराइत उस में जारी होंगे (आलमगीरी वग़ैरा)
मसअला :– तबादिले की शर्त वक़्फ़ नामा में थी इस बिना पर तबादिला कर लिया तो अब दोबारा
इस जायदाद के बदलने का हक़ नहीं है हाँ अगर शर्त के ऐसे अल्फ़ाज़ हों जिन से उमूम समझा
जाता है मसलन मैं जब कभी चाहूँगा तबादिला कर लिया करूँगा तो एक बार के तबादिले से हक़
साक़ित नहीं होगा (फ़तहुल क़दीर)
मसअला :– वाक़िफ़ ने यह शर्त की कि मैं जब चाहूँगा उसे बेच डालूँगा या जितने दामों में चाहूँगा
बेच डालूँगा या बेचकर उस समन से ग़ुलाम ख़रीदूँगा तो इस सब सूरतों में वक़्फ़ ही बातिल है (ख़ानिया)
मसअला :– यह शर्त है कि मुतवल्ली को इख़्तियार है जब चाहे इस जायदाद को बेच डाले और
उस के दामों से दूसरी ज़मीन ख़रीद ले तो यह शर्त जाइज़ है और एक दफ़्अ़ तबादिला का हक़
हासिल है (दुर्रे मुख़्तार)
मसअला :– वक़्फ़ में सिर्फ़ तबादिला मज़कूर है यह नहीं कि मकान या ज़मीन से तबादिला करूँगा
तो इख़्तियार है मकान से तबादिला करे या ज़मीन से और अगर मकान का लफ़्ज़ है तो ज़मीन से
तबादिला नहीं कर सकता और ज़मीन है तो मकान से नहीं हो सकता और अगर यह ज़िक्र न हो
कि फ़ुलाँ जगह की जाइदाद से तबादिला करूँगा तो जहाँ की जायदाद से चाहे तबादिला कर
सकता है और मुअय्यन कर दिया है तो वहीं की जाइदाद से तबादिला हो सकता है दूसरी जगह
की जाइदाद से नहीं। (आलमगीरी, ख़ानिया फ़तहुल क़दीर)
मसअला :– वक़्फ़ी मकान को दूसरे मकान से बदलना उस वक़्त जाइज़ है कि दोनों मकान एक ही
महल्ला में हों या वह महल्ला इस से बेहतर हो अक्स हो यानी यह उस से बेहतर है तो नाजाइज़ है(ख़ानिया)
मसअला :– यह शर्त थी कि मैं तबादिला करूँगा और ख़ुद न किया बल्कि वकील से कराया तो भी
जाइज़ है और मरते वक़्त वसियत कर गया तो वसी तबादिला कर सकता है और अगर यह शर्त थी
कि मैं और फ़ुलाँ शख़्स मिल कर ताबादिला करेंगे तो तन्हा वह शख़्स तबादिला नहीं कर सकता
और यह तन्हा कर सकता है (फ़तहुल क़दीर)

मसअला :– अगर वक़्फ़ नामा में यह हो कि जो कोई इस वक़्फ़ का मुतवल्ली हो वह तबादिला कर सकता है तो हर एक मुतवल्ली को यह इख़्तियार हासिल रहेगा और अगर वाकिफ़ ने यह शर्त कर दी कि फुलाँ शख़्स को उस के तबादिले का इख़्तियार है तो वाकिफ़ की ज़िन्दगी तक उस को इख़्तियार है बाद में नहीं हाँ अगर यह मज़कूर है कि मेरी वफ़ात के बाद भी उसे इख़्तियार है तो बाद में भी रहेगा (ख़ानिया)

मसअला :– मुतवल्ली को तबादिले का इख़्तियार उसी वक़्त हासिल होगा कि मुतवल्ली के लिए तबादिले की तसरीह हो और अगर मुतवल्ली के लिए तबादिले की शर्त मज़कूर है और ख़ुद वाकिफ़ ने अपने लिए ज़िक्र नहीं की जब भी वाकिफ़ तबादिला कर सकता है (फतहुलकदीर)

मसअला :– समन से बैअ् की इजाज़त हो और इतनी कम क़ीमत पर बैअ् (बेची) की कि और लोग ऐसी चीज़ इतनी क़ीमत पर नहीं बेचते तो बैअ् बातिल है और अगर वाजिबी क़ीमत पर बैअ् हुई या कुछ ख़फ़ीफ़ कमी है तो बैअ् जाइज़ है (आलमगीरी)

मसअला :– वक़्फ़ी ज़मीन बेचडाली और समन पर क़ब्ज़ा कर लिया उस के बाद मर गया और समन की निस्बत बयान नहीं किया कि क्या हुआ तो यह समन उस पर दैन है उस के तरके से वुसूल करेंगे यूँहीं अगर मालूम है कि उसने हलाक कर दिया जब भी दैन है और अगर उस ने ख़ुद नहीं हलाक किया है बल्कि उस के पास से ज़ाइअ् हो गया तो तावान नहीं और अब वक़्फ़ बातिल हो गया (आलमगीरी)

मसअला :– वक़्फ़ को बैअ् किया (बेच दिया) था मगर किसी वजह से बैअ् जाती रही तो दो बारा फिर बैअ् कर सकता है और अगर फिर उसी ने उसे ख़रीद लिया तो दोबारा बैअ् नहीं कर सकता मगर जब कि उमूम के साथ तबादिले का इख़्तियार हो तो दो बारा भी कर सकता है (आलमगीरी)

मसअला :– वक़्फ़ी ज़मीन बैअ् कर डाली और समन से दूसरी ज़मीन ख़रीदी मगर जो ज़मीन बैअ् की थी उस में कोई ऐब ज़ाहिर हुआ जिस की वजह से क़ाज़ी ने वापस करने का हुक्म दिया तो यह बदस्तूर वक़्फ़ है और जो दूसरी ज़मीन ख़रीदी थी वह वक़्फ़ नहीं उसे जो चाहे करे और अगर क़ाज़ी ने वापसी का हुक्म नहीं दिया था बल्कि उस ने ख़ुद मरज़ी से वापस कर ली तो यह वक़्फ़ नहीं है बल्कि उस की मिल्क है और वक़्फ़ी ज़मीन वही है जो उसे बेचकर ख़रीदी थी (ख़ानिया)

मसअला :– वक़्फ़ी ज़मीन को किसी ने ग़सब कर लिया और ग़ासिब ही के हाथ में ज़मीन थी कि दरिया बुर्द (दरिया में ग़र्क़) हो गई और ग़ासिब से तावान लिया गया तो इस रुपये से दूसरी ज़मीन ख़रीदी जायेगी और ज़मीन वक़्फ़ क़रार पायेगी और उस वक़्फ़ में तमाम वह शराइत मलहूज़(मान्य) होंगे जो पहली में थे (ख़ानिया)

मसअला :– वक़्फ़ को किसी ने ग़सब कर लिया है और उस के पास गवाह नहीं कि वक़्फ़ का साबित करे और ग़ासिब उस के मुआवज़ा में रुपया देने को तैयार है तो रुपया लेकर दसूरी ज़मीन ख़रीद कर वक़्फ़ के क़ाइम मकाम कर दें (रद्दुल मुहतार)

वक़्फ़ में तबादिले का ज़िक्र न हो तो तबादिले की क्या शर्तें हैं

मसअला :– वाक़िफ़ ने वक़्फ़ में इस्तिबदाल को ज़िक्र नहीं किया या अदमे इस्तिबदाल(न बदलने)को ज़िक्र कर दिया है मगर वक़्फ़ बिल्कुल क़ाबिले इन्तिफ़ाअ् (फ़ाइदा के लाइक़) न रहा यानी इतनी भी आमदनी नहीं होती जो वक़्फ़ के मसारिफ़ के लिए काफ़ी हो तो ऐसे वक़्फ़ का तबादिला जाइज़ है मगर उस के लिए चन्द शर्तें हैं (1) ग़बने फ़ाहिश के साथ बैअ् न हो (2)तबादिला करने वाला क़ाज़ी आलिमे बा अमल हो जिस के तसर्रुफ़ात की निस्बत लोगों को इत्मीनान हो सके(3)तबादिला ग़ैर मन्क़ूल से हो रुपये अशरफ़ी से न हो (4)ऐसे से तबादिला न करे जिसकी शहादत उस के हक़ में ना मक़बूल हो(5)ऐसे शख़्स से तबादिला न करे जिस का उस पर दैन हो (6) दोनों जाइदादें एक ही महल्ला में हों या वह ऐसे महल्ला में हो कि इस महल्ला से बेहतर है (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– वक़्फ़ अगर क़ाबिले इन्तिफ़ाअ् (फ़ाइदा के लाइक़)है यानी उस की अमदनी ऐसी है कि मसारिफ़ से बच रहती है और उस के बदले में ऐसी ज़मीन मिलती है जिस का नफ़अ् ज़्यादा है तो जब तक वाक़िफ़ ने तबादिले की शर्त न की हो तबादिला न करें (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– वक़्फ़ नामा में पहले यह लिखा कि मैंने इसे वक़्फ़ किया इस को न बैअ् (बेचना)किया जाये न हिबा (देना)किया जाये वग़ैरा वग़ैरा फिर आख़िर में यह लिखा कि मुतवल्ली को यह इख़्तियार है कि उसे बेचकर दूसरी ज़मीन ख़रीद कर उस की जगह पर वक़्फ़ कर दे तो अगर्चे पहले लिख चुका है कि बैअ् न की जाये मगर उस की बैअ् जाइज़ है कि आख़िर कलाम अव्वल कलाम का नासिख़ (ख़त्म करने वाला) या मोज़ेह (वज़ाहत करने वाला)है और अगर अक्स किया यानी पहले तो यह लिखा कि मुतवल्ली को बैअ् व इस्तिब्दाल का इख़्तियार है मगर आख़िर में लिख दिया कि बैअ् न की जाये तो अब बदलना जाइज़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– वाक़िफ़ ने यह शर्त कर दी है जब तक मैं ज़िन्दा हूँ मुतवल्ली को उस के तबादिले का इख़्तियार है तो वाक़िफ़ के इन्तिक़ाल के बाद तबादिला नहीं हो सकता (बहर्रुराइक़)

मसअला :– वाक़िफ़ ने यह शर्त की कि उस की आमदनी सर्फ़ करने का मुझे इख़्तियार है मैं जहाँ चाहूँगा सर्फ़ करूँगा तो शर्त जाइज़ है और उसे इख़्तियार है कि मसाकीन को दे या उस से हज कराये या किसी मालदार शख़्स को दे डाले (आलमगीरी)

मसअला :– वक़्फ़ में यह शर्त है कि अगर मैं चाहूँगा इसे बेचकर दूसरी ज़मीन ख़रीदूँगा यह लफ़्ज़ नहीं है कि ख़रीद कर उस की जगह पर कर दूँगा इस शर्त के साथ भी वक़्फ़ सहीह है अगर ज़मीन बेचेगा तो ज़रे समन उस के क़ाइम मक़ाम होगा फिर जब दूसरी ज़मीन ख़रीदेगा तो वह पहली के क़ाइम मक़ाम हो जायेगी (ख़ानिया)

मसअला :– अपनी जायदाद औलाद पर वक़्फ़ की और यह शर्त कर दी कि जो कोई मज़हब इमामे आज़म अबूहनीफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मुन्तक़िल हो जायेगा वह वक़्फ़ से ख़ारिज होगा तो इस शर्त की पाबन्दी होगी और फ़र्ज़ करो एक ने दूसरे पर दअ्वा किया कि उस ने मज़हबे हन्फ़ी

से खुरूज किया और मुद्दई अलैहि इन्कार करता है तो मुद्दआ को गवाहों से साबित करना होगा और गवाहों से साबित न कर सके तो मुद्दआ अलैहि का क़ौल मोअ्तबर है और अगर यह शर्त है जो मज़हबे अहले सुन्नत से ख़ारिज हो वह वक़्फ़ से ख़ारिज और उन में कोई राफ़िज़ी, ख़ारजी, वहाबी वग़ैरा हो गया तो वक़्फ़ से निकल गया यूँही अगर खुल्लम खुल्ला मुर्तद हो गया जब भी ख़ारिज है अगर तौबा कर के फिर मज़हबे अहले सुन्नत को कबूल किया तो अब भी वक़्फ़ से महरूम ही रहेगा हाँ अगर वाक़िफ़ ने यह शर्त कर दी हो कि अगर ताइब होकर मज़हबे अहले सुन्नत को कबूल करे तो वक़्फ़ की आमदनी का मुस्तहक़ हो जायेगा तो अब उसे मिलेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अपनी औलाद पर जाइदाद वक़्फ़ की और शर्त यह की कि जिस को चाहूँगा वक़्फ़ से ख़ारिज करूँगा तो बमूजिब शर्त (शर्त के मुताबिक़)ख़ारिज कर सकता है ख़ारिज करने के बाद फिर दाख़िल करना चाहे तो दाख़िल नहीं कर सकता यूँही यह शर्त की कि जिस को चाहूँगा हिस्सा ज़्यादा दूँगा तो शर्त के मुवाफ़िक़ बाज़ को बाज़ से ज़्यादा दे सकता है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– वक़्फ़ नामा में दो शर्तें मुतआरिज़(टकरायें)हों तो आख़िर वाली शर्त पर अमल होगा(रद्दुलमुहतार)

तौलियत (मुतवल्ली बनाने) का बयान

मसअ्ला :– जो शख़्स औक़ाफ़ की तौलियत की दरख़्वास्त करे ऐसे को मुतवल्ली नहीं बनाना चाहिए और मुतवल्ली ऐसे को मुक़र्रर करना चाहिए जो अमानत दार हो और वक़्फ़ के काम करने पर क़ादिर हो ख़्वाह ख़ुद ही काम करे या अपने नाइब से कराये और मुतवल्ली होने के लिए आक़िल बालिग़ होना शर्त है (फ़तहुलक़दीर रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– वाक़िफ़ ने वसियत की कि मेरे बाद मेरा लड़का मुतवल्ली होगा और वाक़िफ़ के मरने के वक़्त लड़का नाबालिग़ है तो जब तक नाबालिग़ है दूसरे शख़्स को मुतवल्ली किया जाये और बालिग़ होने पर लड़के को तौलियत दी जायेगी और अगर अपनी तमाम औलादों के लिए तौलियत की वसियत की है और उन में कोई नाबालिग़ भी है तो नाबालिग़ के क़ाइम मक़ाम बालिग़ों में से किसी को या किसी दूसरे को क़ाज़ी मुक़र्रर कर दे (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– औरत को भी मुतवल्ली कर सकते हैं और नाबीना को भी और महदूद फ़िलक़ज़फ़ (जिस पर क़ज़फ़ की हद लगी हो)ने तौबा कर ली हो तो उसे भी (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– वाक़िफ़ ने यह शर्त की है वक़्फ़ का मुतवल्ली मेरी औलाद में से उस को किया जाये जो सब में होशियार, नेकोकार हो तो शर्त का लिहाज़ रखते हुऐ मुतवल्ली मुक़र्रर किया जाये उस के ख़िलाफ़ मुतवल्ली करना सहीह नहीं।(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– सूरते मज़कूरा में उस की औलाद में जो सब में बेहतर था वह फ़ासिक़ हो गया तो मुतवल्ली वह होगा जो उस के बाद सब में बेहतर है यूँही अगर उस अफ़ज़ल ने तौलियत से इन्कार कर दिया तो जो उस के बाद बेहतर है वह मुतवल्ली होगा और अगर सब ही अच्छे हों तो जो बड़ा है वह होगा अगर्चे वह औरत हो अगर उस की औलाद में सब ना अहल हों तो किसी अजनबी क़ाज़ी मुतवल्ली मुक़र्रर करेगा उस वक़्त तक के लिए कि उन में का कोई अहल हो जाये (बहर्रराइक़)

मसअला :– सूरते मज़कूरा में सब से बेहतर को काज़ी ने मुतवल्ली कर दिया उस के बाद दूसरा इस से भी बेहतर हुआ तो अब यह मुतवल्ली होगा और अगर उसकी औलादें नेकी में यकसाँ हैं तो वक़्फ़ का काम जो सब से अच्छा कर सके उस को मुतवल्ली किया जाये और अगर एक ज़्यादा परहेज़ गार है दूसरा कम मगर यह दूसरा वक़्फ़ के काम को पहले की बनिस्बत ज़्यादा जानता हो तो उसी को मुतवल्ली किया जाये जबकि उस की तरफ़ से ख़ियानत का अंदेशा न हो (आलमगीरी)

मसअला :– वाक़िफ़ ने अपने ही को मुतवल्ली कर रखा है तो उस में भी उन सिफ़ात का होना ज़रूरी है जो दूसरे मुतवल्ली में ज़रूरी हैं यानी जिन वुजूह से मुतवल्ली को मअ़्ज़ूल कर दिया जाता है अगर वह वुजूह खुद उस में पाई जायें तो उसे भी मअ़्ज़ूल कर देना ज़रूरी होगा इस बात का ख़याल हरगिज़ नहीं किया जायेगा कि यह तो खुद ही वाक़िफ़ है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मुतवल्ली अगर अमीन न हो ख़ियानत करता हो या काम करने से आजिज़ है या अ़लानिया (खुल्लम खुल्ला) शराब पीता, जुआ खेलता या कोई दूसरा फ़िस्क़ अ़लानिया करता हो या उसे कीमिया बनाने की धत हो तो उस को मअ़्ज़ूल कर देना वाजिब है कि अगर क़ाज़ी ने उस को मअ़्ज़ूल न किया तो क़ाज़ी भी गुनहगार है और जिस में यह सिफ़ात पाये जाते हों उस को मुतवल्ली बनाना भी गुनाह है (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरा)

मसअला :– वाक़िफ़ ने अपने ही को मुतवल्ली किया है और वक़्फ़ नामा में यह शर्त लिख दी है कि मुझे उस की तौलियत से जुदा नहीं किया जा सकता या मुझे क़ाज़ी या बादशाहे इस्लाम भी मअ़्ज़ूल नहीं कर सकते इस शर्त की पाबन्दी नहीं की जा सकती अगर ख़ियानत वग़ैरा वह उमूर ज़ाहिर हुए जिन से मुतवल्ली मअ़्ज़ूल कर दिया जाता है तो यह भी मअ़्ज़ूल कर दिया जायेगा यूँहीं वाक़िफ़ ने दूसरे को मुतवल्ली किया है और यह शर्त कर दी है कि उसे मैं मअ़्ज़ूल नहीं कर सकता तो यह शर्त भी बातिल है यूँहीं एक शख़्स ने दूसरे को वसी किया है और शर्त कर दी है कि वसी यही रहेगा अगर्चे ख़ियानत करे तो इस वसी को ख़ियानत ज़ाहिर होने पर मअ़्ज़ूल कर दिया जायेगा दुर्रे मुख़्तार (आलमगीरी)

मसअला :– वाक़िफ़ ने जिस को मुतवल्ली किया है वह जब तक ख़ियानत न करे क़ाज़ी मअ़्ज़ूल नहीं कर सकता और बिला वजह मअ़्ज़ूल कर के क़ाज़ी ने दूसरे को उसकी जगह मुतवल्ली कर दिया तो दूसरा मुतवल्ली नहीं होगा कि वह पहला बदस्तूर मुतवल्ली है और क़ाज़ी ने मुतवल्ली मुक़र्रर किया हो तो बग़ैर ख़ियानत भी उसे मअ़्ज़ूल किया जा सकता है क़ाज़ी ने मुतवल्ली को मअ़्ज़ूल कर दिया फिर क़ाज़ी का इन्तिक़ाल हो गया या मअ़्ज़ूल कर दिया गया उसकी जगह पर दूसरा क़ाज़ी हुआ अब मुतवल्ली उस के पास दरख़्वास्त करता है कि मुझे बिला क़ुसूर जुदा कर दिया गया है तो क़ाज़ी सानी (दूसरा क़ाज़ी) फ़क़त उसके कहने पर अमल कर के मुतवल्ली न कर दे बल्कि उस से कह दे कि तुम साबित कर दो कि इस काम के अहल हो और काम को अच्छी तरह अन्जाम दे सकते हो अगर वह ऐसा साबित कर दे तो दूसरा क़ाज़ी उसे फिर मुतवल्ली बना सकता है वाक़िफ़ को इख़्तियार है मुतवल्ली को मुतलक़न जुदा कर सकता है (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– वाक़िफ़ को इख़्तियार है कि मुतवल्ली को मअ़्ज़ूल कर के दूसरा मुतवल्ली मुक़र्रर कर दे या खुद अपने आप मुतवल्ली बन जाये (फ़त्हुल क़दीर)

मसअला :– वाकिफ़ ने किसी को मुतवल्ली नहीं किया है और क़ाज़ी ने मुकर्रर किया तो वाकिफ़ अब उस को जुदा नहीं कर सकता और मुतवल्ली मौजूद है ख्वाह वाकिफ ने उसे मुकर्रर किया या क़ाज़ी ने तो बिला वजह क़ाज़ी भी दूसरा मुतवल्ली नहीं मुकर्रर कर सकता (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– वक़्फ़नामा में तौलियत(मुतवल्ली बनाने) के मुतअल्लिक़ कुछ मज़कूर(बयान)नहीं तो तौलियत का हक़ वाकिफ़ को है खुद भी मुतवल्ली हो सकता है और दूसरे को भी कर सकता है (आलमगीरी)

मसअला :– एक वक़्फ़ के मुतअल्लिक़ दो वक़्फ़ नामे मिले एक में एक शख़्स को मुतवल्ली बनाना लिखा है और दूसरे में दूसरे शख़्स को अगर दोनों की तारीख़ें भी आगे पीछे हैं जब भी यह दोनों उस वक़्फ़ के मुतवल्ली हैं शिरकत में काम करें (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– वाकिफ़ ने किसी को मुतवल्ली नहीं किया और मरते वक़्त किसी को वसी किया तो यही शख़्स वसी भी है और औक़ाफ़ का निगराँ भी और अगर ख़ास वक़्फ़ के मुतअल्लिक़ उसे वसी किया है तो अलावा वक़्फ़ के दूसरी चीज़ों में भी वह वसी है (आलमगीरी)

मसअला :– दो ज़मीनें वक़्फ़ कीं और हर एक का मुतवल्ली अलाहिदा अलाहिदा दो शख़्सों को किया तो अलग अलग मुतवल्ली हैं आपस में शरीक नहीं और एक शख़्स को मुतवल्ली किया उस के बाद दूसरे को वसी किया तो यह भी तौलियत में मुतवल्ली का शरीक है हाँ अगर वाकिफ़ ने यह कहा हो कि उस को मैंने अपने औक़ाफ़ का मुतवल्ली किया है और उस को अपने तरकात और दीगर उमूर का वसी किया है तो हर एक अपने अपने काम में मुन्फ़रिद होगा (ख़ैरुलफ़ाइक़)

मसअला :– वाकिफ़ ने अपनी ज़िन्दगी में किसी को औक़ाफ़ के काम सुपुर्द कर दिये हैं तो उस की ज़िन्दगी ही तक मुतवल्ली रहेगा मरने के बाद मुतवल्ली नहीं हाँ अगर यह कह दिया है कि मेरी ज़िन्दगी में और मरने के बाद के लिए भी मैंने तुझ को मुतवल्ली किया तो वाकिफ़ के मरने पर उसकी विलायत ख़त्म नहीं होगी। क़ाज़ी ने किसी को मुतवल्ली बनाया उस के बाद क़ाज़ी मर गया या मअ़ज़ूल हो गया तो उस की वजह से मुतवल्ली पर कुछ असर नहीं पड़ेगा वह बदस्तूर मुतवल्ली रहेगा (आलमगीरी)

मसअला :– दो शख़्सों को मुतवल्ली किया तो उन में तन्हा एक शख़्स वक़्फ़ में कोई तसर्रुफ़ नहीं कर सकता जितने काम होंगे वह दोनों की मजमूई राए से अन्जाम पायेंगे और एक ने कोई काम कर लिया और दूसरे ने उस को जाइज़ कर दिया एक ने दूसरे को वकील कर दिया और उस ने इस काम को अन्जाम दिया तो जाइज़ है कि दोनों की शिरकत होगई (आलमगीरी)

मसअला :– एक वक़्फ़ के दो वसी थे उन में एक ने मरते वक़्त एक जमाअ़त को वसी किया तो यह जमाअ़त उस वसी के क़ाइम मकाम होगी और अगर उस ने मरते वक़्त दूसरे वसी को वसी किया तो अब तन्हा यही पूरे वक़्फ़ पर मुतसर्रिफ़ होगा (ख़ानिया)

मसअला :– वाकिफ़ ने एक को वसी कर दिया है और यह शर्त कर दी है कि वसी को वसी करने का इख़्तियार नहीं तो यह शर्त सहीह है इस वसी के बाद क़ाज़ी अपनी राए से किसी को मुतवल्ली मुकर्रर करेगा (आलमगीरी)

मसअला :– वाकिफ़ ने यह शर्त की कि उस का मुतवल्ली अ़ब्दुल्ला होगा और अ़ब्दुल्लाह के बाद

ज़ैद होगा मगर अब्दुल्ला ने अपने बाद के लिए अलावा ज़ैद के दूसरे को मुन्तख़ब किया तो ज़ैद ही मुतवल्ली होगा वह न होगा जिस को अब्दुल्ला ने मुन्तख़ब किया यूँहीं अगर वाकिफ़ ने यह शर्त की है कि मेरी औलाद में जो ज़्यादा होशियार हो वह मुतवल्ली होगा अगर किसी मुतवल्ली ने अपने बाद अपने दामाद को मुतवल्ली किया जो वाकिफ़ की औलाद में नहीं तो यह मुतवल्ली नहीं होगा बल्कि वाकिफ़ की औलाद में जो मुस्तहक़ है वह होगा (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– दो शख़्सों को वाकिफ़ ने मुतवल्ली किया है उन में एक ने कबूल किया और दूसरे ने तौलियत से इन्कार कर दिया तो क़ाज़ी अपनी राए से उस इन्कार करने वाले की जगह किसी को मुकर्रर करेगा और यह भी हो सकता है कि जिस ने कबूल किया क़ाज़ी उसी को तमाम व कमाल इख़्तियारात(पूरे इख़्तियारात) देदे (आलमगीरी)

मसअला :– एक शख़्स को वसियत की कि इतनी जाइदाद ख़रीद कर फुलाँ काम के लिए वक़्फ़ कर देना तो यही शख़्स उस वक़्फ़ का मुतवल्ली भी होगा और अगर एक शख़्स को वक़्फ़ का मुतवल्ली बनाया फिर एक दूसरा वक़्फ़ किया जिस के लिए किसी को मुतवल्ली नहीं किया है तो पहला मुतवल्ली उस दूसरे वक़्फ़ का मुतवल्ली नहीं मगर जब कि उस शख़्स को वसी भी कर दिया हो तो दूसरे वक़्फ़ का भी मुतवल्ली है (बहरुर्राइक़)

मसअला :– वाकिफ़ ने अपनी औलाद में से दो के लिए तौलियत रखी है और उस की औलाद में एक मर्द है और एक औरत तो यही दोनों मुतवल्ली होंगे और अगर वाकिफ़ ने यह शर्त की है कि मेरी औलाद में से दो मर्द मुतवल्ली होंगे तो औरत नहीं हो सकती (बहरुर्राइक़)

मसअला :– मुतवल्ली मर गया और वाकिफ़ ज़िन्दा है तो दूसरा मुतवल्ली ख़ुद वाकिफ़ ही मुकर्रर करेगा और वाकिफ़ भी मरचुका है तो उस का वसी मुकर्रर करेगा और वसी भी न हो तो अब क़ाज़ी का काम है यह अपनी राय से मुकर्रर करे (आलमगीरी)

मसअला :– वाकिफ़ के ख़ानदान वाले मौजूद हों और अहलियत भी रखते हों तो उन्हीं को मुतवल्ली किया जाये और अगर यह लोग ना अहल थे और दूसरे को मुतवल्ली कर दिया गया उस के बाद उन में कोई तौलियत के लाइक़ हो गया तो उसकी तरफ़ तौलियत मुन्तकिल हो जायेगी और अगर ख़ानदान वाले इस ख़िदमत को मुफ़्त नहीं करना चाहते हैं और ग़ैर शख़्स मुफ़्त करने को तय्यार है तो क़ाज़ी वह करे जो वक़्फ़ के लिए बेहतर हो। (आलमगीरी) यह उस सूरत में है कि वाकिफ़ ने अपने ख़ान्दान के लिए तौलियत मख़्सूस न की हो और अगर मख़्सूस कर दी तो दूसरे को मुतवल्ली नहीं बना सकते मगर उस सूरत में कि ख़ान्दान वालों में कोई अमीन न मिलता हो।

मसअला :– मुतवल्ली को यह भी इख़्तियार है कि मरते वक़्त दूसरे के लिए तौलियत की वसियत कर जाये और यह दूसरा उस के बाद मुतवल्ली होगा मगर मुतवल्ली को जो वज़ीफ़ा मिलता था वह उसे नहीं मिलेगा उस के लिए यह ज़रूर है कि क़ाज़ी के पास दरख़्वास्त करे क़ाज़ी उस के काम के लिहाज़ से वज़ीफ़ा मुकर्रर करेगा यह ज़रूर नहीं कि पहले मुतवल्ली को जो कुछ मिलता था वही उस को भी मिले हाँ अगर वाकिफ़ ने हर मुतवल्ली के लिए एक रकम मख़्सूस कर रखी है तो अब क़ाज़ी के पास दरख़्वास्त देने की ज़रूरत नहीं बल्कि मुतवल्ली साबिक़ (पिछले मुतवल्ली)की वसियत ही की बिना पर यह मुतवल्ली होगा और वाकिफ़ की शर्त की बिना पर हक़्क़े तौलियत पायेगा और क़ाज़ी ने किसी को मुतवल्ली बनाया तो उस को हक़्क़े तौलियत इस क़द्र नहीं मिलेगा

जो वाकिफ़ के मुकर्रर करदा मुतवल्ली को मिलता (फ़त्हुल क़दीर)

मसअ्ला :— मुतवल्ली अपनी हयात व सेहत में दूसरे को अपना क़ाइम मक़ाम करना चाहता है यह जाइज़ नहीं मगर जब कि उमूमन तमाम इख़्तियारात उसे सुपुर्द हों तो यह कर सकता है (आलमगीरी)

मसअ्ला :— चन्द अशख़ासे मालूम पर एक जाइदाद वक़्फ़ है तो ख़ुद यह लोग अपनी राय से किसी को मुतवल्ली मुक़र्रर कर सकते हैं क़ाज़ी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है (आलमगीरी)

मसअ्ला :— मुतवल्ली मस्जिद का इन्तिक़ाल हो गया अहले मुहल्ला ने अपनी राय से बग़ैर इजाज़त क़ाज़ी किसी को मुतवल्ली मुक़र्रर किया तो असह यह है कि यह शख़्स मुतवल्ली नहीं कि मुतवल्ली मुक़र्रर करना क़ाज़ी का काम है मगर इस मुतवल्ली ने वक़्फ़ की आमदनी अगर इमारत में सर्फ़ की है तो ज़ामिन नहीं जब कि वक़्फ़ी जाइदाद को किराये पर दिया हो और किराया वसूल कर के ख़र्च किया हो और फ़त्हुल क़दीर में फ़रमाया बहर हाल तावान देना पड़ेगा कि मुफ़्ता बेही(जिस पर फ़तवा है) यह है कि वक़्फ़ को ग़सब कर के उस से जो कुछ उजरत हासिल करेगा उस का तावान देना पड़ता है ज़ाहिर यह है कि यह हुक्म सलतनते इस्लाम के लिए है जहाँ क़ाज़ी होते हैं और इन उमूर को अन्जाम देते हैं और चूँकि इस वक़्त हिन्दुस्तान में न तो क़ाज़ी है न इस्लामी सलतनत ऐसी हालत में अगर अहले महल्ला का मुतवल्ली मुक़र्रर करना सहीह न हो तो औक़ाफ़ बग़ैर मुतवल्ली रह कर ज़ाइअ् (बर्बाद) हो जायेंगे लिहाज़ा यहाँ की ज़रूरतों का ख़याल करते हुए दूसरे क़ौल पर जिस को ग़ैर असह कहा जाता है फ़तवा देना चाहिए यानी अहले महल्ला का मुतवल्ली मुक़र्रर करना जाइज़ है और जिसे यह लोग मुक़र्रर करेंगे वह जाइज़ मुतवल्ली होगा और उस के तसर्रुफ़ात मसलन किराया वग़ैरा पर देना फिर उन को ज़रूरत में सर्फ़ करना सब जाइज़ है वल्लाहु तआला अअ्लमु।

मसअ्ला :— एक वक़्फ़ के मुतवल्ली हो गये इस तरह कि एक शहर के क़ाज़ी ने एक को मुतवल्ली मुक़र्रर किया और दूसरे शहर के क़ाज़ी ने दूसरे शख़्स को मुतवल्ली किया तो ऐसे दो मुतवल्लियों को यह ज़रूर नहीं कि इजमाअ् व इत्तिफ़ाक़े राय से तसर्रुफ़ करें हर एक मुतवल्ली तन्हा भी तसर्रुफ़ कर सकता है और एक क़ाज़ी के मुक़र्रर करदा मुतवल्ली को दूसरा क़ाज़ी मअ्ज़ूल भी कर सकता है जब कि इसी में मसलिहत हो (ख़ानिया)

मसअ्ला :— वक़्फ़ के किसी जुज़ को बैअ् या रहन कर देना ख़ियानत है ऐसे मुतवल्ली को मअ्ज़ूल कर दिया जायेगा मगर वह ख़ुद अपने को मअ्ज़ूल नहीं कर सकता बल्कि वाक़िफ़ या क़ाज़ी उसे मअ्ज़ूल करेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :— क़ाज़ी के हुक्म से मुतवल्ली वक़्फ़ के माल को अपने माल में मिला सकता है और इस सूरत में उस पर तावान नहीं (बहर)

मसअ्ला :— मुतवल्ली ने वक़्फ़ की कोई चीज़ किराये पर दी उस के बाद वह मुतवल्ली मअ्ज़ूल हो गया और दूसरा उसकी जगह मुक़र्रर हुआ तो किराया दूसरा शख़्स वुसूल करेगा पहले को अब हक़ न रहा और अगर मुतवल्ली ने वक़्फ़ के माल से कोई मकान ख़रीदा फिर उसे बैअ् कर डाला तो यह मुतवल्ली मुश्तरी (ख़रीदार) से इस बैअ् का इक़ाला (बैअ् को रद) कर सकता है जब कि

वाजिबी कीमत से ज़्यादा पर न बेचा हो और अगर उस को मअ़्ज़ूल कर के दूसरा मुतवल्ली मुक़र्रर किया गया तो यह दूसरा भी उस का इक़ाला कर सकता है (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला :– वक़्फ़ी ज़मीन में दरख़्त हैं और उन के ख़राब होने का अन्देशा है कि यह पुराने हो गये तो मुतवल्ली को चाहिए कि नए पौधे नसब करता रहे ताकि बाग़ बाक़ी रहे (ख़ानिया)

मसअ्ला :– वाकिफ़ ने मुतवल्ली के लिए हक़्क़े तौलियत जो कुछ मुक़र्रर किया है अगर बलिहाज़े ख़िदमत वह कम मिक़दार है तो क़ाज़ी उजरते मिस्ल तक इज़ाफ़ा कर सकता है (रदुल मुहतार)

मसअ्ला :– देहातों में नज़राना व रूसूम वग़ैरा लगान के अलावा कुछ और मुक़र्रर होते हैं उन में जो चीज़ें उ़र्फ़ के लिहाज़ से मुतवल्ली के लिए हों मसलन जब कारिन्दा गाँव में जाते हैं तो उन को कुछ मिलता है और मालिक के इल्म में यह बात होती है मगर इस पर बाज़ पुर्स नहीं करता तो ऐसी रक़में वग़ैरा मुतवल्ली को मिलेंगी और अगर वह चीज़ें बतौर रिश्वत दी गई हैं ताकि देने वालों के साथ रिआ़यत करे मसलन अंडे मुर्ग़ी वग़ैरा तो इस का लेना नाजाइज़ और लिया हो तो वापस करे और अगर वह आमदनी इस क़िस्म की है कि उस को मिलाकर या वक़्फ़ के मुहासिल पूरे होते हैं मसलन वक़्फ़ की ज़मीन ज़्यादा हैसियत की है और काश्तकार लगान के नाम से ज़्यादा देना नहीं चाहता मगर नज़राना वग़ैरा किसी और नाम से वह रक़म पूरी कर देता है तो ऐसी आमदनी को वक़्फ़ की आमदनी क़रार देना चाहिए और मुहासिल वक़्फ़ में उसे शुमार किया जाये (रदुल मुहतार)

मसअ्ला :– मुतवल्ली ने अपनी औलाद या अपने बाप दादा के हाथ वक़्फ़ की कोई चीज़ बैअ़् की या उन को नौकर रखा या उजरत पर उन से काम कराया यह सब नाजाइज़ है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– वाकिफ़ ने अगर मुतवल्ली के लिए यह इजाज़त देदी है कि ख़ुद भी वक़्फ़ की आमदनी से खा सकता है और अपने दोस्त अहबाब को भी खिला सकता है तो मुतवल्ली इस शर्त के बमूजिब अहबाब को खिला सकता है वरना नहीं (ख़ुलासा)

मसअ्ला :– क़ाज़ी ने मुतवल्ली के लिए मसलन फ़ीसदी दस रुपये मुक़र्रर किए हैं तो आमदनी से दस फ़ीसदी लेगा यह नहीं कि जुमला मसारिफ़ के बाद फ़ीसदी दस रुपये ले (ख़ुलासा)

मसअ्ला :– मुतवल्ली को इख़्तियार है कि ज़मीने वक़्फ़ को आबाद करने के लिए गाँव आबाद कराये रिआ़या बसाये इस लिए कि जब तक मज़ारेईन (खेती करने वाले)नहीं होंगे ज़मीन नहीं उठेगी और आमदनी नहीं होगी लिहाज़ा अगर ज़रूरत हो तो गाँव आबाद कर सकता है यूँहीं अगर वक़्फ़ी ज़मीन शहर से मुत्तसिल(मिली)हो और देखता है कि मकानात बनवाने में आमदनी ज़्यादा होगी और खेत रखने में आमदनी कम है तो मकानात बनवा कर किराये पर दे सकता है और अगर मकानात में भी उतना ही नफ़अ़् हो जितना खेत रखने में तो मकान बनवाने की इजाज़त नहीं(फ़त्हुल क़दीर)

मसअ्ला :– [illegible]र ज़मीन (ऐसी ज़मीन जो खेती के लाइक़ न हो)को दुरुस्त कराने के लिए वक़्फ़ रुपया ख़र्च कर[illegible]ा है मुसाफ़िर ख़ाना की कोई आमदनी नहीं है और उस में मुलाज़िम रखने की ज़रूरत है ताकि [illegible]फ़ाई रखे और उस के कमरों को खोले बन्द करे तो उस के किसी हिस्से को किराये पर देकर उस की आमदनी से मुलाज़िम की तनख़्वाह दे सकता है (आ़लमगीरी)

मसअ्ला :– वक़्फ़ी इमारत झुक गई है जिस से पड़ोस वालों को अपनी इमारत के ख़राब होने का

डर है वह लोग मुतवल्ली से दुरुस्त कराने को कहते हैं मगर मुतवल्ली दुरुस्त नहीं करता इन्कार करता है और वक़्फ़ का रुपया मौजूद है तो मुतवल्ली को दुरुस्त कराने पर मजबूर कर सकते हैं और अगर वक़्फ़ का रुपया नहीं है तो क़ाज़ी के पास दरख़्वास्त करें क़ाज़ी हुक्म देगा कि क़र्ज़ लेकर उसे ठीक कराये (ख़ानिया)

मसअला :– वक़्फ़ी ज़मीन में मुतवल्ली ने मकान बनाया चाहे वक़्फ़ के रुपये से बनाया या अपने रुपये से बनाया मगर वक़्फ़ के लिए बनाया या कुछ नियत नहीं की इन सूरतों में वह वक़्फ़ का मकान है और अगर अपने रुपये से बनाया और अपने ही लिए बनाया और इस पर गवाह भी कर लिया तो ख़ुद उस का है और दूसरा शख़्स बनाता और कुछ नियत न करता जब भी उसी का होता (आलमगीरी)

मसअला :– मुतवल्ली ने वक़्फ़ की मरम्मत वग़ैरा में अपना ज़ाती रुपया सर्फ़ करदिया और यहशर्त करली थी कि वापस ले लूँगा तो वापस ले सकता है और अगर वक़्फ़ का रुपया अपने काम में सर्फ़ कर दिया फिर उतना ही अपने पास से वक़्फ़ में ख़र्च कर दिया तो तावान से बरी है (आलमगीरीफत्हुल क़दीर) मगर ऐसा करना जाइज़ नहीं और अगर वक़्फ़ के रुपये अपने रुपये में मिला दिये तो कुल तावान दे।

मसअला :– मुतवल्ली या मालिक ने किरायेदार को इमारत की इजाज़त देदी उस ने इजाज़त से तअ़मीर कराई तो जो कुछ ख़र्च होगा किरायेदार मुतवल्ली या मालिक से लेगा जब कि उस इमारत का बेशतर नफ़अ़ मालिक को पहुँचा हो और इस नई तअ़मीर से मकान को नुक़सान न पहुँचे(आलमगीरी)

मसअला :– वक़्फ़ ख़राब हो रहा है मुतवल्ली यह चाहता है कि उसका एक जुज़ बैअ़ कर के उस से बाक़ी की मरम्मत कराये तो उस को इख़्तियार नहीं और अगर वक़्फ़ी मकान का एक ऐसा हिस्सा बेच दिया जो मुन्हदिम न था और मुश्तरी (ख़रीदार)उसे मुनहदिम करायेगा या दरख़्त ताज़ा बेचदिया तो यह बैअ़ बातिल है फिर अगर मुश्तरी ने मकान गिरवा दिया या दरख़्त कटवा दिया तो क़ाज़ी ऐसे मुतवल्ली को मअ़ज़ूल करे कि ख़ाइन है और उस मकान या दरख़्त का तावान ले और इख़्तियार है कि बाइअ़ (बेचने वाले) से तावान ले या मुश्तरी से अगर बाइअ़ से तावान लेगा बैअ़ नाफ़िज़ हो जायेगी और मुश्तरी (ख़रीदार) से लेगा तो बातिल रहेगी (आलमगीरी)

मसअला :– वक़्फ़ के फलदार दरख़्तों को बेचना जाइज़ नहीं और काटने के बाद बेच सकता है और न फलने वाले दरख़्त हों तो उन्हें काटने से पहले भी बेच सकते हैं और बेदा झाऊ, नरकल वग़ैरा जो काटने से फिर निकल आते हैं उन्हें तो बेचना ही चाहिए कि यह ख़ुद वक़्फ़ की आमदनी में दाख़िल हैं (आलमगीरी)

मसअला :– वाक़िफ़ ने मुतवल्ली के लिए हक़्क़े तौलियत रखा है तो तौलियत की ख़िदमत अन्जाम देने पर वह मिलता रहेगा और मुतवल्ली को वही काम करने होंगे जो मुतवल्ली किया करते हैं मसलन जाइदाद को इजारा पर देना वक़्फ़ में कुछ काम कराने की ज़रूरत है तो उसे कराना महासिल(आमदनी) वुसूल करना मुस्तहक़ीन पर तक़सीम करना वग़ैरा मुतवल्ली को यह ज़रूरी होगा

कि उमूरे तौलियत में बिल्कुल कोताही न करे और जो काम आदतन मुतवल्ली के ज़िम्मे नहीं होते बल्कि मज़दूरों से मुतवल्ली काम लिया करते हैं ऐसे काम का मुतालबा मुतवल्ली से नहीं किया जासकता कि उस ने खुद क्यों नहीं किया बल्कि अगर औरत मुतवल्ली है तो वही काम करेगी जो औरतें किया करती हैं मर्दों के काम का बार उस पर नहीं डाला जासकता (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुतवल्ली ने अगर मज़दूरों के साथ वह काम किया जो मजदूर करते हैं और उस के फ़राइज़ से यह काम न था तो उस की उजरत मुतवल्ली नहीं ले सकता (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला :– मुतवल्ली पर अहले वक़्फ़ ने दअ्वा किया कि यह कुछ काम नहीं करता और वाकिफ़ ने हक़्के तौलियत उस के लिए जो कुछ रखा है वह काम के मुक़ाबिला में है लिहाज़ा उस को नहीं मिलना चाहिए तो हाकिम मुतवल्ली पर ऐसे काम का बार नहीं डालेगा जो मुतवल्ली न करते हों(बहरुर्राइक़)

मसअ्ला :– मुतवल्ली अगर अंधा, बहरा गूँगा हो गया मगर इस क़ाबिल है कि लोगों से काम ले सकता है तो हक़्के तौलियत मिलेगा वरना नहीं मुतवल्ली पर किसी ने तअ्न किया कि मसलन ख़ाइन है तो फ़क़त लोगों के कह देने से उस का हक़्के तौलियत बातिल नहीं होगा और न उसे तौलियत से जुदा किया जायेगा बल्कि वाक़ेअ् में ख़ियानत साबित हो जाये तो बर तरफ़ किया जायेगा और हक़ भी बन्द हो जायेगा और अगर फिर उस की हालत दुरुस्त व क़ाबिले इतमीनान हो जाये तो फिर उसे मुतवल्ली कर दिया जाये और हक़्के तौलियत भी दिया जाये (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर क़ाज़ी उस को मुनासिब जानता है कि मुतवल्ली के साथ एक दूसरा शख़्स शामिल कर दे कि दोनों मिलकर काम करें तो शामिल कर सकता है और हक़्के तौलियत में से कुछ उसे भी देना चाहे तो दे सकता है और अगर हक़्के तौलियत कम है कि दूसरे को उस में से देने में पहले के लिए बहुत कमी होजायेगी तो दूसरे को वक़्फ़ की आमदनी से भी दे सकता है (आलमगीरी)और दूसरे शख़्स को इस वजह से शामिल किया कि मुतवल्ली की निस्बत कुछ ख़ियानत का शुबह था तो तन्हा मुतवल्ली को तसर्रुफ़ करने का हक़ न रहा और अगर यह वजह नहीं तो मुतवल्ली तन्हा तसर्रुफ़ कर सकता है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– वाकिफ़ ने मुतवल्ली के लिए अज्रे मिस्ल से ज़्यादा मुक़र्रर किया तो हर्ज नहीं क़ाज़ी वग़ैरा कोई दूसरा शख़्स अज्रे मिस्ल से ज़्यादा नहीं मुक़र्रर कर सकता (आलमगीरी)

मसअ्ला :– वाकिफ़ ने काम करने वाले के लिए कुछ माल मुक़र्रर किया तो उसे यह जाइज़ नहीं कि खुद काम न करे और दूसरे को अपनी जगह मुक़र्रर कर के वह रक़म भी उस के लिए कर दे हाँ अगर वाकिफ़ ने उसे ऐसा इख़्तियार दिया है तो हो सकता है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मुतवल्ली वक़्फ़ के काम के लिए मुलाज़िम नौकर रख सकता है और उन की तनख़्वाह दे सकता है और उन को मौकूफ़ कर के उन की जगह दूसरे रखा सकता है (फ़तहुल क़दीर)

मसअ्ला :– मुतवल्ली को जुनून मुतबक़ हो गया यानी एक साल जुनून को गुज़र गया तो तौलियत से अ़लाहिदा कर दिया जाये और अगर यह शख़्स अच्छा हो गया और काम के लाइक़ हो गया तो उसे तौलियत पर मामूर किया जा सकता है (फ़तहुल क़दीर)

मसअ्ला :– वाकिफ़ ने एक शख़्स को मुतवल्ली किया और यह शर्त कर दी कि अगर्चे क़ाज़ी उसे

मअ्ज़ूल कर दे मगर जो वज़ीफ़ा मैंने उस के लिए मुकर्रर किया है मअ्ज़ूली के बाद भी उसे दिया जाये या उसके बाद उसकी औलाद के लिए नसलन बादे नसलिन जारी रहे यह शर्त सहीह है और उसी के मुवाफ़िक़ अमल होगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– वक़्फ़ करने के बाद मर गया क़ाज़ी ने यह औक़ाफ़ एक शख़्स को सुपुर्द कर दिए और आमदनी का दसवाँ हिस्सा उस कारिन्दा के लिए मुक़र्रर किया और औक़ाफ़ में एक पनचक्की है जो बिलमुक़तअ् एक शख़्स के किराये में है उस के लिए कारिन्दे की ज़रूरत नहीं वह वक़्फ़ वाले ख़ुद ही उसका किराया वुसूल कर लेते हैं तो चक्की की आमदनी का दसवाँ हिस्सा कारिन्दे को नहीं मिलेगा(ख़ानिया)

मसअ्ला :– मुतवल्ली ने मुद्दतों तक काम ही नहीं किया और क़ाज़ी को इत्तिलाअ् भी नहीं दी कि उसे मअ्ज़ूल कर के दूसरे को मुतवल्ली करता फिर भी वह मुतवल्ली है बग़ैर मअ्ज़ूल किए मअ्ज़ूल न होगा (आलमगीरी)

औक़ाफ़ के इजारा का बयान

मसअ्ला :– मुतवल्ली ने वक़्फ़ी मकान या ज़मीन को इजारा पर दिया फिर मर गया तो इजारा बदस्तूर बाक़ी रहेगा यूहीं वाक़िफ़ ने किराये पर दिया हो फिर मर गया जब भी यही हुक्म है जो मुतवल्ली है वक़्फ़ की आमदनी भी ख़ुद उसी पर सर्फ़ होगी उस ने वक़्फ़ को इजारा पर दिया और मुद्दते इजारा पूरी होने से पहले फ़ौत हो गया जब भी इजारा नहीं टूटेगा यूँहीं अगर क़ाज़ी ने मकानात मौक़ूफ़ा को किराये पर देदिया है उसके बाद मअ्ज़ूल हो गया तो इजारा बाक़ी है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– किराया दार से पेशगी किराया लेकर मुस्तहक़ीन पर तक़सीम कर दिया गया फिर मुद्दते इजारा पूरी होने से पहले उन्में से कोई मर गया तो तक़सीम तोड़ी नहीं जायेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– वक़्फ़ का माल काश्तकार ने खालिया मुतवल्ली ने उस से कुछ कम पर सुलह कीअगर काश्तकार ग़नी है तो सुलह नाजाइज़ है और फ़क़ीर है तो जाइज़ है जब कि वह वक़्फ़ फ़ुक़रा पर हो और अगर वक़्फ़ के मुस्तहक़ मख़सूस लोग हों तो अगर्चे काश्तकार फ़क़ीर हो कम पर मुसालिहत जाइज़ नहीं यूँहीं इस सूरत में वक़्फ़ी ज़मीन या मकान को कम किराये पर फ़क़ीर को भी देना नाजाइज़ है और फ़क़ीर पर वक़्फ़ हो तो जाइज़ है (ख़ानिया, बहर्रुराइक़)

मसअ्ला :– वक़्फ़ी मकान को तीन साल के लिए सौ रुपया साल किराया पर दिया और तीन शख़्स इस वक़्फ़ की आमदनी के हक़दार हैं एक साल गुज़रने पर उन में का एक फ़ौत हो गया फिर एक साल और गुज़रने पर दूसरा शख़्स मर गया और तीसरा बाक़ी है तो पहले साल की रक़म पहले के वुरसा और दूसरे और तीसरे शख़्स के दरमियान बराबर तीन हिस्सा पर तक़सीम होगी और दूसरे साल की रक़म दूसरे के वुरसा और तीसरे में निस्फ़न निस्फ़ तक़सीम होगी पहली मय्यत के वुरसा उस में से नहीं पायेंगे और तीसरे साल की रक़म सिर्फ़ इस तीसरे को मिलेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– औक़ाफ़ के इजारा की मुद्दत तवील नहीं होनी चाहिये तीन साल से ज़्यादा के लिए किराये पर देना जाइज़ नहीं(फ़त्हुल क़दीर)और अगर वाक़िफ़ ने किराये की कोई मुद्दत बयान कर दी है तो उसकी पाबन्दी की जाये और न बयान की हो तो मकानात को एक साल तक के लिए और

ज़मीन को तीन साल तक के लिए किराये पर दिया जाये मगर जब कि मसलिहत उस के ख़िलाफ़ को मुक़तज़ी हो तो जो तक़ाज़ाए मसलिहत हो वह किया जाये और यह ज़माना और मवाज़ेअ् (जगह) के एअ्तिबार से मुख़्तलिफ़ है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– वाक़िफ़ ने यह शर्त कर दी है कि एक साल से ज़्यादा के लिए किराये पर न दिया जाये मगर वहाँ एक साल के लिए किराये पर कोई लेता ही नहीं ज़्यादा मुद्दत के लिए लोग माँगते हैं तो मुतवल्ली शर्ते वाक़िफ़ के ख़िलाफ़ कर के एक साल से ज़्यादा के लिए नहीं देसकता बल्कि यह मुआमला क़ाज़ी के पास पेश करे और क़ाज़ी से इजाज़त हासिल कर के एक साल से ज़्यादा के लिए दे और अगर वक़्फ़ नामा में यूँ हो कि एक साल से ज़्यादा के लिए न दिया जायेगा मगर जब कि उस में नफ़अ् हो तो ख़ुद वाक़िफ़ भी दे सकता है क़ाज़ी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– औक़ाफ़ को अज्रे मिस्ल के साथ किराया पर दिया जाये यानी इस हैसियत के मकान का जो किराया वहाँ हो या उस हैसियत के खेत का जो लगान उस जगह हो उस से कम पर देना जाइज़ नहीं बल्कि जिस शख़्स को औक़ाफ़ की आमदनी मिलती है वह ख़ुद भी अगर चाहे कि किराया या लगान कम लेकर दे दूँ तो नहीं दे सकता (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– वक़्फ़ी दुकान वाजिबी किराये पर किरायेदार को दी उस के बाद दूसरा शख़्स आता है और ज़्यादा किराया देता है तो पहले इजारे को फ़स्ख़ नहीं किया जा सकता (आलमगीरी)

मसअ्ला :– तीन साल के लिए ज़मीन इजारा पर दी एक साल पूरा होने पर किराये का नर्ख़ कम हो गया तो इजारा फ़स्ख़ नहीं होगा यूँही अगर एक साल के बाद ज़्यादा लोग उस के ख़्वाहिशमन्द हुए और किराये का नर्ख़ बढ़ गया जब भी इजारा फ़स्ख़ नहीं हो सकता (ख़ानिया)

मसअ्ला :– मुतवल्ली ने चन्द साल के लिए इजारा पर ज़मीन दी थी और मुतवल्ली फ़ौत हो गया फिर मुस्ताजिर भी मर गया और उस के वुरसा ने काश्त की ग़ल्ला उन लोगों(यानी मुस्ताजिर के वुरसा)को मिलेगा और उन से ज़मीन का लगान नहीं लिया जायेगा कि मुस्ताजिर की मौत से इजारा फ़स्ख़ होगया बल्कि ज़मीन में उन की ज़राअ़त से जो नुक़सान हुआ है वह लिया जायेगा और यह मुसालिह वक़्फ़ (वक़्फ़ को अच्छा करने)में सर्फ़ होगा जिन पर वक़्फ़ है उन को नहीं दिया जायेगा (ख़ानिया)

मसअ्ला :– मुतवल्ली ने अज्रे मिस्ल से कम किराये पर इजारा दिया तो लेने वाले को अज्रे मिस्ल देना होगा और उजरत का ज़िक्र न किया जब भी यही हुक्म है यूँही यतीम की जाइदाद को कम किराया पर देदिया तो वाजिबी किराया देना होगा (ख़ानिया)

मसअ्ला :– एक शख़्स मसलन आठ रुपये किराया देने को कहता है और दूसरा दस मगर यह दस देने वाला नादिहन्द(न देने वाला) है तो उसे न दिया जाये आठ वाले को दिया जाये (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला :– वक़्फ़ी ज़मीन को मुतवल्ली ख़ुद अपने इजारा में नहीं ले सकता कि ख़ुद मकाने मौक़ूफ़ में रहे और किराया दे या खेत बोये और लगान दे अल्बत्ता क़ाज़ी उस को इजारा पर दे तो हो सकता है(ख़ानिया)और अज्रे मिस्ल से ज़्यादा किराया पर ले तो हो सकता है यूँहीं अपने बाप या बेटे को भी किराया पर नहीं दे सकता मगर जब कि ब निस्बत दूसरों के उन से ज़्यादा किराया ले(बहरुर्राइक़)

मसअला :– वक़्फ़ी ज़मीन किराये पर लेकर किसी ने उस में मकान बनाया और अब ज़मीन का किराया पहले से ज़्यादा हो गया तो अगर मालिक मकान ज़्यादा किराया देने के लिए तैयार है तो ज़मीन उसी के किराये में रहने दें वरना उस से कहें अपना अमला उठा ले और ज़मीन को ख़ाली कर दे (आलमगीरी)और अगर इजारा की मुद्दत पूरी हो चुकी है तो इख़्तियार है चाहे उसी को ज़्यादा किराया लेकर दें या दूसरे को (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– मकान मौक़ूफ़ को आरियत देना बग़ैर किराया किसी को रहने के लिए दे देना नाजाइज़ है और रहने वाले को किराया देना पड़ेगा यूँहीं जो शख़्स मुतवल्ली की बग़ैर इजाज़त रहने लगा उसे भी जो किराया होना चाहिए देना होगा (आलमगीरी)

मसअला :– मकान मौक़ूफ़ (वक़्फ़ का मकान) को मुतवल्ली ने बैअ़ कर दिया फिर यह मुतवल्ली मअ़ज़ूल हो गया और दूसरा उस की जगह मुतवल्ली हुआ उस ने मुश्तरी(ख़रीदार) पर दअ़वा किया और क़ाज़ी ने बैअ़ बातिल होने का हुक्म दिया तो मुश्तरी (ख़रीदार) को इतने दिनों का किराया भी देना होगा (ख़ानिया)

मसअला :– रुपया अशरफ़ी यानी समन के अलावा मसलन असबाब के बदले में इजारा किया तो जाइज़ है और उस वक़्त उस सामान को बेचकर वक़्फ़ की आमदनी में दाख़िल करे (आलमगीरी)

मसअला :– वक़्फ़ी ज़मीन को ख़ुद मुतवल्ली भी वक़्फ़ की तरफ़ से काश्त कर सकता है और उस सूरत में मज़दूरों की उजरत वग़ैरा वक़्फ़ से अदा करेगा (आलमगीरी)

मसअला :– वक़्फ़ी मकान किराये पर दिया और शिकस्त रीख़्त(टूट फूट) वग़ैरा किरायादार के ज़िम्मा रखी तो इजारा बातिल है हाँ अगर मरम्मत के लिए कोई रक़म मुअय्यन कर दी कि इतने रुपये मरम्मत में सर्फ़ करना तो जाइज़ है (आलमगीरी)

मसअला :– फ़क़ीरों पर एक मकान वक़्फ़ है कि उस की आमदनी फ़ुक़रा को दी जायेगी उस मकान को एक फ़क़ीर ने किराये पर लिया तो किराया चूँकि फ़क़ीर ही को दिया जाता है लिहाज़ा जितना उस को देना है उतना किराया छोड़ देना जाइज़ है (आलमगीरी)

मसअला :–जिस शख़्स पर मकान वक़्फ़ है वह ख़ुद इस मकान को किराये पर नहीं दे सकता जब कि यह मुतवल्ली न हो (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– मकान या खेत को कम पर देदिया तो यह कमी मुस्ताजिर से पूरी कराई जायेगी मुतवल्ली से वुसूल न करेंगे मगर मुतवल्ली से सहव (भूल)और ग़फ़लत की बिना पर ऐसा हुआ तो दर गुज़र करेंगे और क़स्दन ऐसा किया तो ख़ियानत है मअ़ज़ूल कर दिया जायेगा बल्कि ख़ुद वाक़िफ़ ने क़स्दन कम पर दिया है तो उस के हाथ से भी वक़्फ़ को निकाल लेंगे(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– वक़्फ़ी ज़मीन अगर उ़श्री है तो काश्तकार पर है और ख़िराजी है तो ख़िराज वक़्फ़ की आमदनी से दिया जायेगा।

मसअला :– वक़्फ़ पर कुछ ख़र्च करने की ज़रूरत पेश आई और आमदनी का रुपया मौजूद नहीं है तो क़ाज़ी से इजाज़त लेकर क़र्ज़ लिया जा सकता है बतौर ख़ुद मुतवल्ली को क़र्ज़ लेने का इख़्तियार नहीं यूँहीं ख़िराज का रुपया देना है तो उस के लिए भी बइजाज़त क़ाज़ी क़र्ज़ लिया जायेगा यानी जब कि उस साल आमदनी न हुई और अगर आमदनी हुई मगर मुतवल्ली ने

मुस्तहक़्क़ीन पर तक़सीम कर दी ख़िराज के लिए नहीं रखी तो ख़िराज की क़द्र मुतवल्ली को तावान देना होगा (आलमगीरी)

मसअला :– वक़्फ़ की तरफ़ से ज़राअत करने के लिए तुख़्म वग़ैरा की ज़रूरत है और रूपया ख़र्च के लिए मौजूद नहीं है तो क़ाज़ी से इजाज़त लेकर उस के लिए भी क़र्ज़ ले सकता है (आलमगीरी)

मसअला :– वक़्फ़ी मकान के मुत्तसिल दूसरा मकान है बीच में एक दीवार है जो दूसरे मकान वाले की है वह दीवार गिर गई फिर मालिक मकान ने दीवार उठवाई मगर वक़्फ़ की हद में उठाई तो मुतवल्ली उस दीवार को तुड़वा देगा और मुतवल्ली यह चाहे कि उसे क़ीमत देकर दीवार वक़्फ़ की करले यह जाइज़ नहीं। (ख़ानिया)

मसअला :– वक़्फ़ की ज़मीन में दरख़्त थे जो बेच डाले गये और हुनूज़ (अभी) काटे नहीं गये कि ख़रीदार को वही ज़मीन इजारा में दी गई और दरख़्त जड़ समीत बेचे गए थे तो ज़मीन का इजारा जाइज़ है और अगर ज़मीन के ऊपर ऊपर से बेचे गये तो इजारा जाइज़ नहीं (ख़ानिया)

मसअला :– गाँव वक़्फ़ है और वहाँ के काश्तकार बटाई पर खेत बोया करते हैं उस गाँव में क़ाज़ी की तरफ़ से कोई हाकिम आया जिसने किसी को लगान पर खेत देदिया फ़स्ल तैयार होने पर मुतवल्ली आया और हस्बे दस्तूर बटाई कराना चाहता है लगान के रूपये नहीं लेता तो जो मुतवल्ली चाहता है वही होगा (ख़ानिया)

मसअला :– वक़्फ़ी ज़मीन किसी ने ग़सब कर ली और ग़ासिब ने अपनी तरफ़ से कुछ इज़ाफ़ा किया है अगर यह ज़्यादती माले मुतक़व्विम(क़ाइम रहने वाला माल) न हो मसलन ज़मीन को जोत कर ठीक किया है या उस में नहर खुदवाई है या खेत में खाद डलवाई है जो मिट्टी में मिल गई तो ग़ासिब से ज़मीन वापस ली जायेगी और उन चीज़ों का कुछ मुआवज़ा नहीं दिया जायेगा और अगर वह ज़्यादत माले मुतक़व्विम है मसलन मकान बनाया है या पेड़ लगाये हैं तो अगर मकान या दरख़्त के निकालने से ज़मीन ख़राब न हो तो ग़ासिब से कहा जायेगा अपना अ़मला उठा ले या पेड़ उखाड़ ले और ज़मीन ख़ाली कर के वापस कर दे और अगर मकान या दरख़्त जुदा करने में ज़मीन ख़राब हो जायेगी तो उखड़े हुए दरख़्त या निकाले हुए अ़मला की क़ीमत ग़ासिब को दी जायेगी और ग़ासिब को यह भी इख़्तियार है कि ज़मीन के ऊपर से दरख़्त को इस तरह काट ले कि ज़मीन को नुक़सान न पहुँचे (ख़ानिया)

दअ़वा और शहादत का बयान

मसअला :– मकान या ज़मीन बैअ़ (बेचदी)कर दी अब कहता है उस को मैंने वक़्फ़ कर दिया था इस बयान पर अगर गवाह नहीं पेश करता है और मुद्दआ़ अ़लैहि से हल्फ़ लेना चाहता है तो उसकी बात नहीं मानेंगे और हल्फ़ न देंगे और गवाह से वक़्फ़ होना साबित कर दे तो गवाह मक़बूल हैं और बैअ़ बातिल (आलमगीरी)और मुश्तरी से उतने दिनों का किराया लिया जायेगा जब तक उस का क़बज़ा था और मुश्तरी समन के वुसूल करने के लिए इस जाइदाद को अपने क़ब्ज़ा में नहीं रख सकता (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– वक़्फ़ के मुतअ़ल्लिक़ बिदूने दअ़वा (दवअ़ न होने पर)के भी शहादत क़बूल कर ली

जाती है उसी वजह से बावुजूद मुद्दई के कलाम मुतनाकिज़(टकराव) होने के वक़्फ़ में शहादत क़बूल हो जाती है कि तनाकुज़ (कलाम में टकराव) से दअ्वा जाता रहा और शहादत बग़ैर दअ्वा हुई। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– अस्ल वक़्फ़ में अगर्चे बग़ैर दअ्वा भी शहादत कबूल होती है मगर किसी शख़्स का किसी वक़्फ़ के मुतअल्लिक हक़ साबित होने के लिए दअ्वा शर्त है बग़ैर दअ्वा गवाही कोई चीज़ नहीं मसलन एक शख़्स किसी वक़्फ़ की आमदनी का हक़दार है और गवाहों से हक़दार होना साबित भी हो तो जब तक वह ख़ुद दअ्वा न करे उस का हक़ फ़ुक़रा को देंगे ख़ुद उस को नहीं देंगे (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– किसी ज़मीन की निस्बत पहले यह कहा था कि यह फ़ुलाँ पर वक़्फ़ है अब दअ्वा करता कि मुझ पर वक़्फ़ है तो चूँकि उस के क़ौल में तनाकुज़ है लिहाज़ा दअ्वा बातिल व ना मसमूअ् है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी जायदाद की निस्बत यह दअ्वा कि वक़्फ़ है सुना नहीं जायेगा बल्कि अगर दअ्वा में यह भी हो कि मैं उस की आमदनी का मुस्तहक़ हूँ जब भी मसमूअ् नहीं। जब तक कि दअ्वा में यह न हो कि मैं उस का मुतवल्ली हूँ। दअ्वा मसमूअ् न होने के यह मअ्ना हैं फ़क़्त उस के दअ्वा के बिना पर काबिज़ पर हल्फ़ नहीं देंगे हाँ अगर गवाह गवाही दें तो गवाही मक़बूल होगी।(दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला :– मुश्तरी (ख़रीदार)ने बाइअ् (बेचने वाले)पर दअ्वा किया कि जो ज़मीन तूने मेरे हाथ बैअ् की है यह वक़्फ़ है तुझ को इस के बेचने का हक़ न था यह दअ्वा मसमूअ् नहीं बल्कि यह दअ्वा मुतवल्ली की जानिब से होना चाहिए और मुतवल्ली न हो तो क़ाज़ी अपनी तरफ़ से किसी को मुतवल्ली करेगा जो मुक़द्दमा की पैरवी करेगा और वक़्फ़ साबित होने पर बैअ् बातिल हो जायेगी और मुश्तरी को समन वापस मिलेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– क़ाज़ी ने किसी जायदाद के मुतअल्लिक़ वक़्फ़ का फ़ैसला दिया तो सिर्फ़ मुद्दई के मुक़ाबिल यह फ़ैसला नहीं बल्कि सब के मुक़ाबिल है यानी फ़ैसले दो किस्म के होते हैं बाज़ फ़ैसले सिर्फ़ मुद्दई व मुद्दआ अलैहि के दरमियान में हैं दूसरों से उस को तअल्लुक़ नहीं मसलन एक शख़्स ने दूसरे की किसी चीज़ पर दअ्वा किया कि यह मेरी है और क़ाज़ी ने फ़ैसला दे दिया तो यह फ़ैसला सब के मुक़ाबिल में नहीं है बल्कि तीसरा शख़्स फिर दअ्वा कर सकता है और चौथा फिर कर सकता है व अला हाज़लक़ियास और बाज़ फ़ैसले सब के मुक़ाबिल में होते हैं कि अब दूसरा दअ्वा ही नहीं हो सकता मसलन एक शख़्स पर किसी ने दअ्वा किया कि यह मेरा गुलाम है उस ने जवाब दिया कि मैं आज़ाद हूँ और क़ाज़ी ने हुर्रियत का हुक्म दिया तो अब कोई भी उस की अब्दियत (गुलामी)का दअ्वा नहीं कर सकता या किसी औरत को क़ाज़ी ने एक शख़्स की मनकूहा होने का हुक्म दिया तो दूसरा अपनी मनकूहा होने का दअ्वा नहीं कर सकता यूँहीं किसी बच्चे का एक शख़्स से नसब साबित हो गया तो दूसरा उस के नसब का दअ्वा नहीं कर सकता इसी तरह से किसी जाइदाद पर एक शख़्स ने अपनी मिल्क का दअ्वा किया जिस के क़ब्ज़े में है उस ने जवाब दिया यह वक़्फ़ है और वक़्फ़ होना साबित कर दिया क़ाज़ी ने वक़्फ़ होने का हुक्म दिया तो अब मिल्क का दूसरा दअ्वा उस पर हरगिज़ नहीं हो सकता बल्कि यह फ़ैसला तमाम जहान के

मुक़ाबिल में है मगर वाक़िफ़ अगर हीला बाज आदमी हो कि इस वक़्फ़ के हीले से दूसरे की इमलाक पर क़ब्ज़ा करता हो मसलन दूसरे की जायदाद पर क़ब्ज़ा कर लिया और तीसरे से अ ने ऊपर दअ़्वा करा दिया और जवाब यह दिया कि वक़्फ़ है और वक़्फ़ के गवाह भी पेश कर दिए और क़ाज़ी ने वक़्फ़ का हुक्म दे दिया अगर ऐसे हीला बाज़ के वक़्फ़ की क़ज़ा (फ़ैसला) वैसी ही होतो बेचारे अस्ल मालिक अपनी जाइदाद से हाथ धो बैठा करें और कुछ न कर सकें लिहाज़ा इस सूरत में यह फ़ैसला सब के मुक़ाबिल में नहीं (दुर्रे मुख़्तार रद्दुल मुहतार)

मसअला :– वक़्फ़ के सुबूत के लिए गवाही दी तो गवाह को यह बयान करना ज़रूर नहीं है कि किसने वक़्फ़ किया बल्कि अगर इस से ला इल्मी भी ज़ाहिर करे जब भी शहादत मोअ़्तबर हो सकती है (दुर्रे मुख़्तार, आलमगीरी)

मसअला :– वक़्फ़ में शहादत अ़लश्शहादत मोअ़्तबर है और वक़्फ़ होना मशहूर हो तो अगर्चे उस के सामने वाक़िफ़ ने वक़्फ़ नहीं किया है महज़ शोहरत की बिना पर उस को शहादत देना जाइज़ है बल्कि अगर क़ाज़ी के सामने तस्रीह कर दे कि मेरी शहादत समई (सुनकर) है जब भी गवाही ना मोअ़्तबर नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअला :– एक शख़्स ने दूसरे पर दअ़्वा किया कि यह ज़मीन मुझ पर वक़्फ़ है ज़मीन जिस के क़बज़ा में है वह कहता है यह मेरी मिल्क है गवाहों ने वाक़िफ़ का वक़्फ़ करना बयान किया और यह कि जिस वक़्त उस ने वक़्फ़ की थी उसी के क़बज़ा में थी तो फ़क़त इतनी ही बात से वक़्फ़ साबित नहीं होगा बल्कि गवाहों को यह बयान करना भी ज़रूर है कि वाक़िफ़ उस ज़मीन का मालिक भी था (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– पुराना वक़्फ़ है जिस के मसारिफ़ व शराइत़ का पता नहीं चलता उस में भी समई शहादत मोअ़्तबर है और ज़माना–ए–गुज़िश्ता का अगर अ़मल दर आमद हो सके या क़ाज़ी के दफ़्तर में शराइत़ व मसारिफ़ का ज़िक्र है तो उसी के मुवाफ़िक़ अ़मल किया जाये(दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअला :– एक शख़्स के कब्ज़े में जाइदाद है उस पर किसी ने वक़्फ़ होने का दअ़्वा किया और सुबूत में एक दस्तावेज़ पेश करता है तो फ़क़त दस्तावेज़ की बिना पर वक़्फ़ होना नहीं क़रार पायेगा अगर्चे उस दस्तावेज़ पर गुज़िश्ता क़ाज़ियों की तहरीरें भी हों यूँहीं किसी मकान के दरवाज़ा पर वक़्फ़ का कतबा कुन्दा होने से भी क़ाज़ी वक़्फ़ का हुक्म नहीं देगा यानी बग़ैर शहादत फ़क़त तहरीर क़ाबिले एअ़्तिबार नहीं मगर जब कि दस्तावेज़ की नक़्ल क़ाज़ी के दफ़्तर में हो तो ज़रूर क़ाबिले क़बूल है ख़ुसूसन जब कि गुज़िश्ता क़ाज़ियों के दस्तख़त उस पर हों (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– किसी जाइदाद का वक़्फ़ होना मअ़रूफ़ व मशहूर है मगर यह नहीं मअ़्लूम कि (कहाँ ख़र्च हो) उस का मसरफ़ क्या है तो शोहरत की बिना पर वक़्फ़ क़रार पायेगा और फ़ुक़रा पर ख़र्च किया जायेगा (रद्दुल मुहतार)

मसअला :– गवाह ने यह गवाही दी कि यह जाइदाद मुझ पर या मेरी औलाद या मेरे बाप दादा पर वक़्फ़ है तो गवाही मक़बूल नहीं यूँही अगर यह गवाही दी कि मुझ पर और फ़ुलाँ अजनबी पर वक़्फ़

है जब भी मक़बूल नहीं न उसके हक़ में वक़्फ़ साबित होगा न उस दूसरे के हक़ में और अगर दो गवाह एक की गवाही यह है कि ज़ैद पर वक़्फ़ है और दूसरा गवाही देता है कि अम्र पर वक़्फ़ है तो नफ़्से वक़्फ़ के मुतअ़ल्लिक चूँकि दोनों मुत्तफ़िक़ हैं वक़्फ़ साबित हो जायेगा मगर मौक़ूफ़ अलैहि (जिस पर वक़्फ़ हो) में चूँकि इख़्तिलाफ़ है लिहाज़ा यह जायदाद फ़ुक़रा पर सर्फ़ होगी न ज़ैद पर होगी न अम्र पर(ख़ानिया)

मसअ्ला :– एक गवाह ने बयान किया कि यह सारी ज़मीन वक़्फ़ है दूसरा कहता है आधी तो आधी ही का वक़्फ़ होना साबित हुआ (आलमगीरी)

मसअ्ला :– दो शख़्सों ने शहादत दी कि पड़ोस के फ़क़ीरों पर वक़्फ़ की और ख़ुद यह दोनों उस के पड़ोस के फ़क़ीर हों जब भी गवाही मक़बूल है या गवाही दी कि फ़ुलाँ मस्जिद के मोहताजों पर वक़्फ़ है तो गवाही मक़बूल है अगर्चे यह दोनों उस मस्जिद के मोहताजों से हों यूँही अहले मदरसा वक़्फ़े मदरसा के लिए शहादत दें तो गवाही मक़बूल है (ख़ानिया)यूँहीं मुतवल्ली और एक दूसरा शख़्स दोनों गवाही दें कि यह मकान फ़ुलाँ मस्जिद पर वक़्फ़ है तो गवाही मक़बूल है (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– एक मकान एक शख़्स के क़ब्ज़ा में है दूसरे शख़्स ने गवाहों से साबित किया कि उस पर वक़्फ़ है और मुतवल्ली मस्जिद ने गवाहों से यह साबित किया कि मस्जिद पर वक़्फ़ है अगर दोनों ने वक़्फ़ की तारीख़ें ज़िक्र कीं तो जिसकी तारीख़ मुक़द्दम है उस के मुवाफ़िक़ फ़ैसला होगा वरना दोनों में निस्फ़ निस्फ़ कर दिया जायेगा (बहर्रुराइक़)

मसअ्ला :– गवाहों ने यह गवाही दी कि फ़ुलाँ ने अपनी ज़मीन वक़्फ़ की और वाक़िफ़ ने उस के हुदूद नहीं बयान किए मगर कहते हैं कि हम उस ज़मीन को पहचानते हैं तो गवाही मक़बूल नहीं कि हो सकता है उस शख़्स की इस ज़मीन के एलावा कोई दूसरी ज़मीन भी हो और अगर गवाह कहते हों कि हमारे इल्म में उस की दूसरी ज़मीन नहीं जब भी क़बूल नहीं कि हो सकता है ज़मीन हो और उन के इल्म में न हो (ख़ानिया)यह उस सूरत में है जब कि वाक़िफ़ ने मुतलक़न ज़मीन का वक़्फ़ करना ज़िक्र किया और अगर ऐसे लफ़्ज़ से ज़िक्र किया कि गवाहों को मालूम हो गया कि फ़ुलाँ ज़मीन है जिस के यह हुदूद हैं क़ाज़ी के सामने हुदूद बयान भी करें तो गवाही मक़बूल होगी।(आलमगीरी)

मसअ्ला :– गवाह कहते हैं वाक़िफ़ ने हुदूद बयान कर दिय थे मगर हम भूल गये तो गवाही मक़बूल नहीं और अगर गवाहों ने दो हदें बयान कीं जब भी क़बूल नहीं। और तीन हदें बयान कर दीं तो गवाही मक़बूल है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– गवाहों ने कहा कि फ़ुलाँ ने अपनी ज़मीन वक़्फ़ की जिसके हुदूद भी वाक़िफ़ ने बयान कर दिये मगर हम नहीं जानते यह ज़मीन कहाँ है तो गवाही मक़बूल है वक़्फ़ साबित होजायेगा। मगर मुद्दई को गवाहों से साबित करना होगा कि वह ज़मीन यह है (ख़ानिया)

मसअ्ला :– गवाहों में इख़्तिलाफ़ हुआ कि एक कहता है मरने के बाद के लिए वक़्फ़ किया दूसरा कहता है वक़्फ़ सहीह तमाम है तो गवाही मक़बूल नहीं और अगर एक ने कहा सेहत में वक़्फ़ किया दूसरा कहता है मर्ज़ुलमौत में वक़्फ़ किया है तो यह इख़्तिलाफ़ सुबूते वक़्फ़ के मनाफ़ी नहीं(ख़ानिया)

मसअला :– एक शख़्स फ़ौत हुआ उस ने दो लड़के छोड़े और एक के हाथ में बाप की जाइदाद है वह कहता है मेरे बाप ने यह जाइदाद मुझ पर वक़्फ़ कर दी है इस का दूसरा भाई कहता है वालिद ने हम दोनों पर वक़्फ़ की है और गवाह किसी के पास न हों तो दूसरे का क़ौल मोअ्तबर है जो दोनों पर वक़्फ़ होना बताता है (ख़ानिया)

मसअला :– एक ज़मीन चन्द भाईयों के क़ब्ज़ा में है वह सब बिल इत्तिफ़ाक़ यह बयान करते हैं कि हमारे बाप ने यह ज़मीन वक़्फ़ की है मगर हर एक वक़्फ़ का मसरफ़ अलाहिदा अलहिदा बताता है तो क़ाज़ी उस के मुतअ़ल्लिक़ यह फ़ैसला करेगा कि ज़मीन तो वक़्फ़ क़रार दी जाये और जिस ने जो मसरफ़ बयान किया उस का हिस्सा उन मसरफ़ में सर्फ़ किया जाये और क़ाज़ी उन में से जिस को चाहे मुतवल्ली मुक़र्रर कर दे और अगर उन वुरसा में कोई नाबालिग़ या ग़ाइब है तो जब तक बालिग़ हो या हाज़िर न हो उसके हिस्से के मुतअ़ल्लिक़ कोई फ़ैसला न होगा (ख़ानिया)

मसअला :– एक शख़्स के क़ब्ज़ा में मकान है उस पर किसी ने दअ्वा किया कि यह मकान मअ् ज़मीन के मेरा है क़ाबिज़ ने जवाब में कहा यह मकान मस्जिद पर वक़्फ़ है मगर मुद्दई ने गवाहों से अपनी मिल्क साबित कर दी क़ाज़ी ने उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला दे दिया या दफ़्तर में लिख दिया उस के बाद मुद्दई यह इक़रार करता है ज़मीन वक़्फ़ है और सिर्फ़ इमारत मेरी है तो दअ्वा भी बातिल हो गया और फ़ैसला भी और क़ाज़ी की तहरीर भी यानी पूरा मकान मअ् ज़मीन वक़्फ़ ही क़रार पायेगा (ख़ानिया)

मसअला :– दो जायदादें हैं एक जायदाद जिस के क़बज़े में है मौजूद है और दूसरी जिस के क़बज़ा में है यह ग़ाइब है जो शख़्स मौजूद है उस पर किसी ने यह दअ्वा किया कि यह दोनों जायदादें मेरे दादा की हैं कि उस ने अपनी औलाद पर नसलन बाद नसलिन वक़्फ़ की हैं अगर गवाहों से यह साबित हुआ कि दोनों जायददें वाक़िफ़ की थीं और दोनों को एक साथ वक़्फ़ किया और दोनों एक ही वक़्फ़ है तो क़ाज़ी दोनों जाइदादों के वक़्फ़ का फ़ैसला देगा और अगर गवाहों ने उन का दो वक़्फ़ होना बयान किया तो जो मौजूद है उस के मक़ाबिल फ़ैसला होगा और उस के पास जो जाइदाद है वक़्फ़ क़रार पायेगी और ग़ाइब के मुतअ़ल्लिक़ अभी कोई फ़ैसला नहीं होगा आने पर होगा (आलमगीरी)

मसअला :– दो मन्ज़िला मकान मस्जिद से मुत्तसिल है मस्जिद में जो सफ़ बन्धती है वह नीचे वाली मन्ज़िल में मुत्तसिलन(मिलीहुई) चली आती है नीचे वाली मन्ज़िल में गर्मी, जाड़ों में नमाज़ भी पढ़ी जाती है अब अहले मस्जिद और मकान वालों में इख़्तिलाफ़ हुआ मकान वाले कहते हैं कि यह मकान हमें मीरास में मिला है तो उन्हीं का क़ौल मोअ्तबर है (आलमगीरी)

मसअला :– गवाहों ने गवाही दी कि इस मकान में जो कुछ उस का हिस्सा था या जो कुछ उसे अपने बाप के तरका से मिला था वक़्फ़ कर दिया मगर गवाहों को यह नहीं मालूम कि हिस्सा कितना है तरका में कितना मिला है जब भी शहादत मक़बूल है और अगर वाक़िफ़ के मक़ाबिल में गवाहों ने बयान किया कि उस ने वक़्फ़ करने का इक़रार किया और हम को नहीं मालूम कि वह कौनसा मकान या ज़मीन है तो क़ाज़ी वाक़िफ़ को मजबूर करेगा कि जाइदाद मौक़ूफ़ा को बयान करे जो बयान कर दे वही वक़्फ़ है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने दूसरे पर दअ्वा किया कि उस ने यह ज़मीन मसाकीन पर वक़्फ़ कर दी है वह इन्कार करता है मुद्दआी ने इकरार के गवाह पेश किए तो गवाही मक़बूल है और वक़्फ़ सहीह है और उस के हाथ से ज़मीन निकाल ली जायेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– किसी शख़्स ने मस्जिद बनाई या अपनी ज़मीन को क़ब्रिस्तान या मुसाफ़िर ख़ाना बनाया या एक शख़्स दअ्वा करता है कि ज़मीन मेरी है और बानी कहीं चला गया है मौजूद नहीं है तो अगर बाज़ अहले मस्जिद के मक़ाबिल में फ़ैसला हो गया तो सब के मक़ाबिल में होगया और मुसाफ़िर ख़ाना के लिए यह ज़रूर है कि बानी या नाइब के मक़ाबिल में फ़ैसला हो उन की अदम मौजूदगी में कुछ नहीं किया जा सकता (आलमगीरी)

मसअ्ला :– वक़्फ़ के बाज़ मुस्तहक़ीन दअ्वा में सब के क़ाइम मक़ाम हो सकते हैं यानी एक के मक़ाबिल में जो फ़ैसला होगा वही सब के मुक़ाबिल में नाफ़िज़ होगा यह जब कि अस्ल वक़्फ़ साबित हो यूँहीं बाज़ वारिस तमाम वारिसों के क़ाइम मक़ाम हैं यानी अगर मय्यत पर या मय्यत की तरफ़ से दअ्वा हो तो एक वारिस पर या एक वारिस का दअ्वा करना काफ़ी है यूँहीं अगर मदयून(क़र्ज़ दार) का दीवालिया होना एक क़र्ज़ ख़्वाह के मक़ाबिल में साबित हुआ तो यह सभी के मुक़ाबिल सुबूत हो गया कि दूसरे क़र्ज़ख़्वाह भी उसे क़ैद नहीं करा सकते।

मसअ्ला :– मस्जिद पर क़ुर्आन मजीद वक़्फ़ किया कि मस्जिद वाले या महल्ला वाले तिलावत करेंगे और ख़ुद उसी मस्जिद वाले वक़्फ़ की गवाही देते हैं तो यह गवाही मक़बूल है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक शख़्स के हाथ में ज़मीन है वह कहता है यह फ़ुलाँ की है कि उस ने फ़ुलाँ काम के लिए वक़्फ़ की है और उस के वुरसा कहते हैं इस को हम पर और नस्ल पर वक़्फ़ की है और जब हमारी नस्ल नहीं रहेगी उस वक़्त फ़ुक़रा और मसाकीन पर सर्फ़ होगी और क़ाज़ी साबिक़ के दफ़्तर में कोई ऐसी तहरीर भी नहीं है जिस से औक़ाफ़ के मसारिफ़ मालूम हो सकें तो उस वक़्त वुरसा का क़ौल मोअ्तबर होगा। (आलमगीरी)

वक़्फ़ नामा वग़ैरा दस्तावेज़ के मसाइल

मसअ्ला :– ज़मीन वक़्फ़ की और वक़्फ़ नामा भी तहरीर किया जिस पर लोगों की गवाहियाँ भी करायीं मगर हुदूद के लिखने में ग़लती हो गई दो हदें ठीक हैं और दो ग़लत तो जिस जानिब में ग़लती हुई है वह हदें उधर अगर मौजूद हैं अगर इस ज़मीन और उस हद के दरमियान दूसरे की ज़मीन, मकान, खेत वग़ैरा है तो वक़्फ़ जाइज़ है और उस की जितनी ज़मीन है वही होगी और अगर उस तरफ़ वह चीज़ ही नहीं जिस को हुदूद में ज़िक्र किया है न मुत्तसिल और न फ़सिले पर तो वक़्फ़ सहीह नहीं हाँ अगर यह जाइदाद इतनी मशहूर है कि हुदूद ज़िक्र करने की ज़रूरत ही न थी तो अब वक़्फ़ सहीह है। (ख़ानिया)

मसअ्ला :– जाइदाद वक़्फ़ की और वक़्फ़ नामा लिखवा दिया और जो कुछ वक़्फ़ नामा में लिखा है उस पर गवाहियाँ भी कराईं मगर वह वाक़िफ़ अब कहता है कि मैंने तो यूँ वक़्फ़ किया था कि मुझे बैअ् करने का इख़्तियार होगा मगर कातिब ने इस शर्त को नहीं लिखा और मुझे यह नहीं मालूम कि वक़्फ़ नामा में क्या लिखा है अगर वक़्फ़ नामा ऐसी ज़बान में लिखा है जिस को वाक़िफ़ जानता है और पढ़ कर उसे सुनाया गया है और उस ने तमाम मज़मून का इकरार किया है तो वक़्फ़ सहीह है

और उस का कौल बातिल और अगर वक़्फ़ नामा की ज़बान नहीं जानता और गवाहों से यह साबित नहीं कि तरजमा कर के उसे सुनाया गया तो वाकिफ़ का कौल मोअ्तबर है और वक़्फ़ सहीह नहीं और अगर गवाह यह कहते हैं कि उसे तरजमा कर के पूरा वक़्फ़ नामा सुनाया गया और उसने तमाम मज़मून का इकरार किया और हम को गवाह बनाया जब भी वक़्फ़ सहीह है (खानिया)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने यह चाहा कि अपनी कुल जाइदाद जो उस मोज़ेअ् (जगह या गाँव) में है सब को वक़्फ़ कर दे और कातिब से मर्ज़ में वक़्फ़ नामा लिखने को कहा कातिब ने दस्तावेज़ में बाज़ टुकड़े भूल कर नहीं लिखे और यह वक़्फ़ नामा पढ़ कर सुनाया कि फ़ुलाँ इब्ने फ़ुलाँ ने अपने फ़ुलाँ मोज़ेअ् के तमाम टुकड़े वक़्फ़ कर दिये जिन की तफ़सील यह है और जो टुकड़ा लिखना भूल गया था उसे सुनाया भी नहीं और वाकिफ़ ने तमाम मज़मून का इकरार किया तो वाकिफ़ ने सेहत में यह ख़बर दी थी कि जो कुछ उस मोज़ेअ् में उस का हिस्सा है सब को वक़्फ़ करने का इरादा है तो सब वक़्फ़ हो गये और अगर वाकिफ़ का इन्तिकाल हो गया मगर इन्तिकाल से पहले उस ने बताया कि मेरा यह इरादा है तो जो कुछ उस ने कहा है उसी का एअ्तिबार है (खानिया)

मसअ्ला :– एक औरत से महल्ला वालों ने यह कहा कि तू अपना मकान मस्जिद पर वक़्फ़ कर दे और यह शर्त कर दे कि अगर तुझे ज़रूरत होगी तो उसे बेचडालेगी औरत ने मन्जूर किया और वक़्फ़ नामा लिखा गया मगर उस में यह शर्त नहीं लिखी और औरत से कहा कि वक़्फ़ नामा लिखवा दिया अगर वक़्फ़ नामा उसे पढ़ कर सुनाया गया और वक़्फ़ नामा की तहरीर औरत समझती है उस ने सुनकर इकरार किया तो वक़्फ़ सहीह है और अगर उसे सुनाया ही नहीं या वक़्फ़ नामा की ज़बान ही नहीं समझती तो वक़्फ़ दुरुस्त नहीं (खानिया)

मसअ्ला :– तौलियत नामा या विसायत नामा किसी के नाम लिखा गया और उस में यह नहीं लिखा गया कि किस की जानिब से उस को मुतवल्ली या वसी किया गया तो यह दस्तवेज़ बेकार है क्योंकि काज़ी की जानिब से मुतवल्ली मुकर्रर हो तो उसके अहकाम जुदा हैं और वाकिफ़ ने जिस को मुतवल्ली मुकर्रर किया हो उस के अहकाम अलाहिदा हैं यूँहीं बाप की तरफ़ से वसी है या काज़ी की तरफ़ से या माँ,दादा वग़ैरा ने मुकर्रर किया है कि उन के अहाकाम मुख़्तलिफ़ हैं लिहाज़ा यह मालूम होना ज़रूरी है कि किस ने मुतवल्ली या वसी किया है कि यह मालूम न होगा तो किस तरह अमल करेंगे और अगर यह तस्रीह कर दी है कि काज़ी ने मुतवल्ली या वसी मुकर्रर किया है मगर उस काज़ी का नाम नहीं तो दस्तावेज़ सहीह है कि अव्वलन तो उस की ज़रूरत ही नहीं कि काज़ी का नाम मालूम किया जाये और अगर जानना चाहो तो तारीख़ से मालूम कर सकते हो कि उस वक़्त काज़ी कौन था (खानिया, आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक जाइदाद अशख़ासे मालूमीन (जो लोग मअ्लूम हैं) पर वक़्फ़ है उस के मुतवल्ली से एक शख़्स ने ज़मीन इजारा पर ली और किराया नामा लिखा गया उस में मुस्ताजिर और मुतवल्ली का नाम लिखा गया कि फ़ुलाँ इब्ने फ़ुलाँ जो फ़ुलाँ वक़्फ़ का मुतवल्ली है मगर उस में वाकिफ़ का नाम नहीं लिखा जब भी किराया नामा सहीह है (खानिया)

वक़्फ़े इकरार के मसाइल

मसअ्ला :– जो ज़मीन उस के कब्ज़ा में है उस की निस्बत यह कहा कि वक़्फ़ है तो यह कलामे वक़्फ़ का इकरार है और वह ज़मीन वक़्फ़ करार पायेगी मगर उस के कहने से वक़्फ़ की इब्तिदा न होगी ताकि वक़्फ़ के तमाम शराइत उस वक़्त दरकार हों (आलमगीरी)

मसअला :– जो ज़मीन उस के कब्ज़ा में है उस के वक़्फ़ होने का इक़रार किया मगर न तो वाक़िफ़ का ज़िक्र किया कि किस ने वक़्फ़ किया न मुस्तहक़ीन को बताया कि किस पर ख़र्च होगी जब भी इक़रार सहीह है और यह ज़मीन फ़ुक़रा पर वक़्फ़ क़रार दीजायेगी और उस का वाक़िफ़ न इक़रार करने वाले को क़रार देंगे और न दूसरे को हाँ अगर गवाहों से साबित हो कि इक़रार से पहले यह ज़मीन ख़ुद उसी इक़रार करने वाले की थी तो अब यही वाक़िफ़ क़रार पायेगा और यही मुतवल्ली होगा कि फ़ुक़रा पर आमदनी तक़सीम करेगा मगर उसे यह इख़्तियार नहीं कि दूसरे को अपने बाद मुतवल्ली क़रार दे। (आलमगीरी)

मसअला :– वक़्फ़ का इक़रार किया और वाक़िफ़ का भी नाम बताया मगर मुस्तहक़ीन को ज़िक्र न किया मसलन कहता है यह ज़मीन मेरे बाप की सदक़ा–ए–मौक़ूफ़ा है और उस का बाप फ़ौत होचुका है अगर उस के बाप पर दैन है तो यह इक़रार सहीह नहीं। ज़मीन दैन में बैअ़ कर दी जायेगी और अगर उस के बाप ने कोई वसियत की है तो तिहाई में वसियत नाफ़िज़ होगी उस के बाद जो कुछ बचे वह वक़्फ़ है कि उस की आमदनी फ़ुक़रा पर सर्फ़ होगी यह उस सूरत में है कि उस के सिवा कोई दूसरा वारिस न हो और अगर दूसरा वारिस है जो वक़्फ़ से इन्कार करता है तो वह अपना हिस्सा लेगा और जो चाहे करेगा (ख़ानिया आलमगीरी)

मसअला :– जो ज़मीन क़ब्ज़ा में है उस की निस्बत इक़रार किया कि यह फ़ुलाँ लोगों पर वक़्फ़ है यानी चन्द शख़्सों के नाम लिए उस के बाद दूसरे लोगों पर वक़्फ़ बताता है या उन्हीं लोगों में कमी बेशी करता है तो उस पिछली बात का एअ़तिबार नहीं किया जायेगा पहली ही पर अ़मल होगा और अगर यह कह कर कि यह ज़मीन वक़्फ़ है सुकूत किया फिर सुकूत के बाद कहा कि फ़ुलाँ फ़ुलाँ पर वक़्फ़ है यानी चन्द शख़्सों के नाम ज़िक्र किए तो यह पिछली बात भी मोअ़तबर होगी यानी जिन लोगों के नाम लिए उन को आमदनी मिलेगी (ख़ानिया)

मसअला :– वक़्फ़ की इज़ाफ़त किसी दूसरे शख़्स की तरफ़ करता है कहता है कि फ़ुलाँ ने यह ज़मीन वक़्फ़ की है अगर कोई मअ़रूफ़ शख़्स है और ज़िन्दा है तो उस से दरयाफ़्त करेंगे अगर वह उसकी तस्दीक़ करता है तो दोनों के तस्दीक़ करने से सब कुछ साबित हो गया और अगर वह यह कहता है कि मिल्क तो मेरी है मगर वक़्फ़ मैंने नहीं किया है तो मिल्क दोनों के तस्दीक़ से साबित हुई और वक़्फ़ साबित न हुआ और अगर वह शख़्स मर गया है तो उस के वुरसा से दरयाफ़्त करेंगे अगर सब उस की तस्दीक़ करते हैं या सब तकज़ीब करते हैं तो जैसा कहते हैं उस के मुवाफ़िक़ किया जाये और अगर बाज़ वुरसा वक़्फ़ मानते हैं और बाज़ इन्कार करते हैं तो जो वक़्फ़ कहता है उस का हिस्सा वक़्फ़ है और जो इन्कार करता है उस का हिस्सा वक़्फ़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअला :– वाक़िफ़ को इक़रार में ज़िक्र नहीं किया मगर मुस्तहक़ीन का ज़िक्र किया मसलन कहता है यह ज़मीन मुझ पर और मेरी औलाद व नस्ल पर वक़्फ़ है तो इक़रार मक़बूल है और यही उस का मुतवल्ली होगा फिर अगर किसी ने इस पर दअ़वा किया कि यह मुझ पर वक़्फ़ है और उसी मुक़िर अव्वल ने तस्दीक़ की तो ख़ुद उस के अपने हिस्से में तस्दीक़ का असर हो सकता है औलाद व नस्ल के हिस्सों में तस्दीक़ नहीं कर सकता (आलमगीरी)

मसअला :– इक़रार किया कि यह ज़मीन फ़ुलाँ काम पर वक़्फ़ है उस के बाद फिर कोई दूसरा काम बताया कि उस पर वक़्फ़ है तो पहले जो कहा है उसी का एअ़तिबार है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने वक़्फ़ का इक़रार किया कि जो ज़मीन मेरे क़ब्ज़ा में है वक़्फ़ है इक़रार के बाद मरगया और वारिस के इल्म में यह है कि यह इक़रार ग़लत है इस बिना पर अ़दमे वक़्फ़ का दअ़्वा करता है यह दअ़्वा मसमूअ़् नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– एक शख़्स के क़ब्ज़ा में ज़मीन है उस के मुतअ़ल्लिक़ दो गवाह गवाही देते हैं कि उसने इक़रार किया है कि फ़ुलाँ शख़्स और उस की औलाद व नस्ल पर वक़्फ़ है और दो शख़्स दूसरे गवाही देते हैं कि उस ने इक़रार किया है कि फ़ुलाँ शख़्स (एक दूसरे का नाम लिया)और उस की औलाद व नस्ल पर वक़्फ़ है उस सूरत में अगर मालूम हो कि पहला इक़रार कौनसा है और दूसरा कौन सा तो पहला सहीह है और दूसरा बातिल और अगर मालूम न हो कि कौन पहले है कौन पीछे तो दोनों फ़रीक़ आधी आधी आमदनी तक़सीम करदें (ख़ानिया)

मसअ्ला :– किसी दूसरे की ज़मीन के लिए कहा कि यह सदक़ा मौक़ूफ़ा है उस के बाद उस ज़मीन का यह शख़्स मालिक हो गया तो वक़्फ़ होगई (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने अपनी जाइदाद ज़ैद और ज़ैद की औलाद और ज़ैद की नस्ल पर वक़्फ़ की और जब उस नस्ल से कोई नहीं रहेगा तो फ़ुक़रा व मसाकीन पर वक़्फ़ है और ज़ैद यह कहता है कि यह वक़्फ़ मुझ पर और मेरी औलाद व नस्ल पर और अ़म्र पर है यानी ज़ैद ने अ़म्र का इज़ाफ़ा किया तो अव्वलन ज़ैद व औलाद ज़ैद पर आमदनी तक़सीम होगी फिर ज़ैद को जो कुछ मिला उस में अ़म्र को शरीक करेंगे औलादे ज़ैद के हिस्सों से अ़म्र को कोई तअ़ल्लुक़ नहीं होगा और यह भी उस वक़्त तक है जब तक ज़ैद ज़िन्दा है उस के इन्तिक़ाल के बाद अ़म्र को कुछ नहीं मिलेगा कि अ़म्र को जो कुछ मिलता था वह ज़ैद के इक़रार की वजह से उस के हिस्सा से मिलता था और जब ज़ैद मर गया उस का इक़रार व हिस्सा सब ख़त्म हो गया (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक शख़्स के क़ब्ज़ा में ज़मीन या मकान है उस पर दूसरे ने दअ़्वा किया कि यह मेरा है क़ाबिज़ ने जवाब में कहा कि यह फ़ुलाँ शख़्स ने मसाकीन पर वक़्फ़ किया है और मेरे क़ब्ज़ा में दिया है इस इक़रार की बिना पर वक़्फ़ का हुक्म तो हो जायेगा मगर मुद्दई का दअ़्वा उस पर बदस्तूर बाक़ी है यहाँ तक कि मुद्दई की ख़्वाहिश पर मुद्दआ अ़लैहि से क़ाज़ी हल्फ़ लेगा अगर हल्फ़ से नकूल करेगा तो ज़मीन की क़ीमत उस से मुद्दई को दिलाई जायेगी और जाइदाद वक़्फ़ रहेगी(आलमगीरी)

मसअ्ला :– जिस के क़ब्ज़ा में मकान है उस ने कहा कि एक मुसलमान ने उस को उमूरे ख़ैर पर वक़्फ़ किया है और मुझ को उस का मुतवल्ली किया है थोड़े दिनों के बाद एक शख़्स आता है और कहता है कि यह मकान मेरा था मैंने इन उमूर पर उस को वक़्फ़ किया था और तेरी निगरानी में दिया था और चाहता यह है कि मकान अपने क़ब्ज़ा में करे तो अगर पहला शख़्स उस की तस्दीक़ करता है कि वाक़िफ़ यही है तो क़ब्ज़ा कर सकता है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– एक शख़्स ने मकान या ज़मीन वक़्फ़ कर के किसी की निगरानी में देदिया और यह निगराँ इन्कार करता है कहता है कि उस ने मुझे नहीं दिया है तो ग़ासिब है उस के हाथ से वक़्फ़ को ज़रूर निकाल लिया जाये और अगर उस में कुछ नुक़सान पहुँचाया है तो उस का तावान देना पड़ेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला :– वक़्फ़ी ज़मीन को ग़सब किया और उस में दरख़्त वग़ैरा भी थे और ग़ासिब उस को वापस करना चाहता है तो दरख़्तों की आमदनी भी वापस करनी पड़ेगी अगर वह बिऐनिही मौजूद है और ख़र्च हो गई है तो उस का तावान दे और ग़ासिब से वापस करने में जो कुछ मुनाफ़अ़् या उन

का तावान वापस लिया जाये वह उन लोगों पर तक़सीम कर दिया जाये जिन पर वक़्फ़ की आमदनी सर्फ़ होती है और ख़ुद वक़्फ़ में कुछ नुक़सान पहुँचाया और उसका तावान लिया गया तो यह तक़सीम नहीं करेंगे बल्कि ख़ुद वक़्फ़ की दुरूस्ती में सर्फ़ करें (आलमगीरी वग़ैरा)

मरीज़ के वक़्फ़ करने का बयान

मसअ्ला :– मरज़ुल मौत में अपने माल की एक तिहाई वक़्फ़ कर सकता है उस को कोई रोक नहीं सकता तिहाई से ज़्यादा का वक़्फ़ किया और उस का कोई वारिस नहीं तो जितना वक़्फ़ किया सब जाइज़ है और वारिस हो तो वुरसा की इजाज़त पर मौकूफ़ है अगर वुरसा जाइज़ कर दें तो जो कुछ वक़्फ़ किया सब सहीह व नाफ़िज़ है और वुरसा इन्कार करें तो एक तिहाई की क़द्र का वक़्फ़ दुरूस्त है इस से ज़्यादा का बातिल और अगर वुरसा में इख़्तिलाफ़ हुआ बाज़ ने वक़्फ़ को जाइज़ रखा और बाज़ ने रद कर दिया तो एक तिहाई वक़्फ़ है और उस से ज़्यादा में जिस ने जाइज़ रखा उस का हिस्सा वक़्फ़ है और जिसने रद कर दिया उस का हिस्सा वक़्फ़ नहीं मसलन एक शख़्स की नौ बीघा ज़मीन थी और कुल वक़्फ़ कर दी उस के तीन लड़के हैं एक लड़का बाप के वक़्फ़ को ज़ाइज़ रखता है और दो ने रद कर दिया तो पाँच बीघे वक़्फ़ के हुए और चार बीघे दो लड़कों को तरका में मिलेंगे कि तीन बीघे तो तिहाई की वजह से वक़्फ़ हुए और दो बीघे उस लड़के के हिस्से के जिसने जाइज़ रखा है और अगर इस सूरत में छः बीघे वक़्फ़ करे तो चार बीघे वक़्फ़ होंगे (दुर्रे मुख़्तार रदुल मुहतार)

मसअ्ला :– मरीज़ ने वक़्फ़ किया था वुरसा ने जाइज़ नहीं रखा इस वजह से एक तिहाई में क़ाज़ी ने वक़्फ़ को जाइज़ किया और दो तिहाई में बातिल कर दिया उस के बाद वक़्फ़ के किसी और माल का पता चला कि यह कुल जाइदाद जिस को वक़्फ़ किया है उस की तिहाई के अन्दर है तो अगर वह तिहाईयाँ जो वुरसा को दी गई थीं वुरसा के पास मौजूद हों तो कुल वक़्फ़ है और अगर वारिसों ने बैअ् कर डाली है तो बैअ् दुरुस्त है मगर इतनी ही क़ीमत की दूसरी जायदाद ख़रीद कर वक़्फ़ कर दी जाये (आलमगीरी ख़ानिया)

मसअ्ला :– नरीज़ ने अपनी कुल जाइदाद वक़्फ़ कर दी और उसकी वारिस सिर्फ़ ज़ौजा है अगर उस ने वक़्फ़ को जाइज़ कर दिया जब तो कुल जाइदाद वक़्फ़ है वरना कुल माल का छटा हिस्सा ज़ौजा पायेगी बाक़ी पाँच हिस्से वक़्फ़ हैं (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला :– मरीज़ पर इतना दैन है कि उस की तमाम जाइदाद को घेरे हुए है उस ने अपनी जायदाद वक़्फ़ कर दी तो वक़्फ़ नहीं बल्कि तमाम जाइदाद बेचकर दैन(क़र्ज़)अदा किया जायेगा और तन्दुरुस्त पर ऐसा दैन होता तो वक़्फ़ सहीह होता मगर जब कि हाकिम की तरफ़ से उस के तसर्रुफ़ात रोक दिए हों तो उस का वक़्फ़ भी सहीह नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला :– राहिन ने जायदादे मरहूना (गिरवीं जायदाद)वक़्फ़ कर दी अगर उस के पास दूसरा माल है तो उस से दैन अदा करने का हुक्म दिया जायेगा और वक़्फ़ सहीह होगा और दूसरा माल न हो तो मरहून(रहन रखा हुआ) को बैअ् कर के दैन अदा किया जायेगा और वक़्फ़ बातिल है(दुर्रे मुख़्तार रदुल मुहतार)

मसअ्ला :– मरीज़ ने एक जाइदाद वक़्फ़ की जो तिहाई के अन्दर थी मगर उस के मरने से पहले माल हलाक हो गया कि अब तिहाई से ज़्यादा है या मरने के बाद माल की तक़सीम हो कर वुरसा को नहीं मिला था कि हलाक हो गया तो उसकी एक तिहाई वक़्फ़ होगी और दो तिहाईयों में मीरास जारी होगी (आलमगीरी)

जारी होगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मरीज़ ने ज़मीन वक़्फ़ की और उस में दरख़्त हैं जिन में वाक़िफ़ के मरने से पहले फल आये तो फल वक़्फ़ के हैं और अगर जिस दिन वक़्फ़ किया था उसी दिन फल मौजूद थे तो यह फल वक़्फ़ के नहीं बल्कि मीरास हैं कि वुरसा पर तक़सीम होंगे (आलमगीरी)

मसअ्ला :– मरीज़ ने बयान किया मैं वक़्फ़ का मुतवल्ली था और उसकी इतनी आमदनी अपने सर्फ़ में लाया लिहाज़ा यह रक़म मेरे माल से अदा कर दी जाये या यह कहा कि मैंने इतने साल की ज़कात नहीं दी है मेरी तरफ़ से ज़कात अदा की जाये अगर वुरसा उस की बात की तस्दीक़ करते हों तो वक़्फ़ का रुपया तमाम माल से अदा किया जाये यानी वक़्फ़ का रुपया अदा करने के बाद कुछ बचे तो वारिसों को मिलेगा वरना नहीं और ज़कात तिहाई माल से अदा की जाये यानी उस से ज़्यादा के लिए वारिस मजबूर नहीं किए जा सकते अपनी ख़ुशी से कुल माल अदाए ज़कात सर्फ़ कर दें तो कर सकते हैं और अगर वारिस उस के कलाम की तकज़ीब करते हैं कहते हैं उस ने ग़लत बयान किया तो वक़्फ़ और ज़कात दोनों में तिहाई माल दिया जायेगा मगर तकज़ीब की सूरत में वक़्फ़ का मुतवल्ली व मुन्तज़िम वारिसों पर हल्फ़ देगा कि क़सम खायें हमें नहीं मालूम है कि जोकुछ मरीज़ ने बयान किया वह सच है अगर क़सम खालेंगे तिहाई माल तक वक़्फ़ के लिए दि जायेगा और क़सम से इन्कार करें तो वक़्फ़ का रुपया जमीअ़ माल से लिया जायेगा और ज़कातबहर सूरत एक तिहाई से अदा करनी ज़रूरी है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– सेहत में वक़्फ़ किया था और मुतवल्ली के सुपुर्द कर दिया था मगर उस की आमदनी को सर्फ़ करना अपने इख़्तियार में रखा था कि जिसे चाहेगा देगा वाक़िफ़ ने मरते वक़्त वसी से यहकह दिया कि तुम जो मुनासिब देखना करना और वाक़िफ़ मर गया और उस का एक लड़का तंगदस्त है तो बनिस्बत औरों के उस लड़के को देना बेहतर है (आलमगीरी)

मसअ्ला :– अगर मरने पर वक़्फ़ को मुअ़ल्लक़ किया है तो यह वक़्फ़ नहीं बल्कि वसियत है लिहाज़ा मरने से क़ब्ल उस में रुजूअ़ कर सकता है और एक ही सुलुस (तिहाई) में जारी होगी (दुर्रे मुख़्तार)

वल्लाहु तआ़ला अअ़लमु व इल्मुहू जल्ल मजदहू अतम्म व अहकम

फ़क़ीर अबुलउ़ला मुहम्मद अमजद अ़ली आज़मी उ़फ़िय अ़न्हु

15 रमज़ाने मुबारक 1349 हिजरी।

हिन्दी तर्जमा

मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

रजब 1431 हिजरी

मुताबिक़ 2010 जून

मोबाइल–9219132423

राब्ते का पता

मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

ग्रा0शहबाज़पुर पो0बरसेर सिकन्दर पुर जि0बरेली यू0पी0मो–09219132423

बहारे शरीअत

11 से 20

मुसन्निफ

सदरुश्शरीआ मौलाना अमजद अली आज़मी रज़वी अलैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा

मौलाना मुहम्मद अमीनुल कादरी बरेलवी

नाशिर

क़ादरी दारुल इशाअत

[illegible] मीनार मस्जिद

[illegible] नगर, पुराना शहर बरेली

बहारे शरीअ़त

ग्यारहवाँ हि़स्सा

मुस़न्निफ़
सदरूश्शरीआ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा
मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर
क़ादरी दारूल इशाअ़त
मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली–53
Mob:–9219132423

जुमला हुकूक बहक्के नाशिर महफ़ूज़

नाम किताब	बहारे शरीअ़त (ग्यारहवाँ हिस़्सा)
मुसन्निफ़	सदरुश्शरीअ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमह
हिन्दी तर्जमा	**मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी**
कम्प्यूटर कम्पोज़िंग	रज़वी कम्प्यूटर सेन्टर निकट दो मीनार मस्जिद एजाज़नगर बरेली
क़ीमत जिल्द दोम	750/ मुकम्मल 1500रु
ता़दाद	1100
इशाअ़त	2012 ई.

मिलने के पते :

1 मकतबा नईमिया ,मटिया महल, दिल्ली।
2 नाज़ बुक डिपो ,मोहम्मद अ़ली रोड़ मुम्बई
3 न्यू सिलवर बुक एजेन्सी मोहम्मद अ़ली रोड मुम्बई।
3 अलकुरआन कम्पनी ,कमानी गेट,अजमेर।
4 चिश्तिया बुक डिपो दरगाह शरीफ़ अजमेर।
5 क़ादरी दारुल इशाअ़त, 523 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली। 9312106346
6 मकतबा रहमानिया रज़विया दरगाह आ़ला ह़ज़रत बरेली शरीफ़

इजमाली फ़ेहरिस्त

नोट

क़ादरी दारुल इशाअ़त की छपी हुई
बहारे शरीअ़त की चन्द ख़ुसूसियात

तस्हीह शुदा
किताब के आख़िर में तफ़सीली फ़ेहरिस्त
फ़िक़्ही इस्तिलाहात

मुश्किल अलफ़ाज़ और उनके मआनी

ख़रीदते वक़्त
क़ादरी दारुल इशाअ़त
और
अनुवादक में मौलाना अमीनुल क़ादरी
का नाम ज़रूर देखलें

इदारा

अर्ज़े मुतर्जिम

ज़ेरे नज़र किताब बहारे शरीअ़त उर्दू ज़बान में बहुत मशहूर व मअ़रूफ़ किताब है हिन्दी ज़बान में अभी तक फ़िक़्ही मसाइल पर इतनी ज़ख़ीम किताब मन्ज़रे आम पर नहीं आई काफ़ी अर्से से ख़्वाहिश थी कि बहारे शरीअ़त मुकम्मल हिन्दी में तर्जमा की जाये ताकि हिन्दी दाँ हज़रात को फ़िक़्ही मसाइल पर पढ़ने के लिये तफ़्सीली किताब दस्तयाब हो सके।

मैंने इस किताब का तर्जमा करने में ख़ालिस हिन्दी अलफ़ाज़ का इस्तेमाल नहीं किया उसकी वजह यह कि आज भी हिन्दुस्तान में आम बोलचाल की ज़बान उर्दू है अगर हिन्दी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता तो किताब और ज़्यादा मुश्किल होजाती इसी लिये किताब के मुश्किल अलफ़ाज़ को आसान उर्दू में हिन्दी लिपि में लिखा गया है।

बहारे शरीअ़त उर्दू में बीस हिस्से तीन या चार जिल्दों में दस्तयाब हैं अगर इस किताब का अच्छी तरह से मुताला कर लिया जाये तो मोमिन को अपनी जिन्दगी में पेश आने वाले तक़रीबान तमाम मसाइल की जानकारी हासिल हो सकती है। इस किताब में अक़ाइद मुआमलात तहारत, नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात, निकाह, तलाक़, ख़रीद, फ़रोख़्त, अख़लाक़, ग़रज़ कि ज़रूरत के तमाम मसाइल का बयान है।

काफ़ी अर्से से तमन्ना थी कि मुकम्मल बहारे शरीअ़त हिन्दी में पेश की जाये ताकि हिन्दी दाँ हज़रात इस से फ़ायदा हासिल कर सकें बहारे शरीअ़त की बीस हिस्सों की तसहीह अच्छी तरह करके दो जिल्दों में पेश किया जा रहा है। जिन से हमने कम्पोज़िंग कराई उन्होंने दस हिस्से जो हमारी तसहीह के थे दुनियवी लालच में आकर दूसरे इदारे को देदिये और साइज़ बदल कर वैसे ही छाप दिये उस में जहाँ हमारा नाम था अनुवादक में अपना नाम बदल डाला उन दस हिस्सों के बारे में मैं कुछ नहीं कहता बाक़ी ग्यारह से बीस तक तसहीह उसमें किसी और की है हिस्सा सोलह से बीस तक थोड़ा थोड़ा देखने का इत्तिफ़ाक़ हुआ कसीर तादाद में ग़ल्तियाँ ऐसी हैं जिस से अनुवादक के जाहिल होने का यक़ीन होता है और बहुतसी जगह पर मसअ्ला भी बदल गया है। जैसे एक जगह ख़्वाजा सरा को ख़्वाहा सरा, उमरा को अमराद लिखा है वरासत के मसअ्ले में लिखा है कि "माल के हिस्से करके बांट दिये जायें" उस जाहिल अनुवादक ने लिख मारा कि "माँ के हिस्से करके बांट दिये जायें" उसे यही नहीं पता कि मसअ्ला बदल गया माल के हिस्से हो सकते हैं उस जाहिल से पूछा जाये कि माँ के हिस्से कैसे करेगा। ऐसी बहुत सी ग़ल्तियां हैं इस लिये किताब ख़रीदते वक़्त इदारे का नाम 'क़ादरी दारुल इशाअ़त' और अनुवादक का नाम 'मौलाना अमीनुल क़ादरी' ज़रूर देख लें।

यह हिन्दी में फ़िक़्ही मसाइल पर सब से ज़्यादा तफ़सीली किताब होगी कोशिश यह की गई है कि ग़लतियों से पाक किताब हो और मसाइल भी न बदल पायें अभी तक मार्केट में फ़िक़्ह के बारे में पाई जाने वाली हिन्दी की अकसर किताबों में मसाइल भी बदल गये हैं और उनके अनुवादकों को इस बात का एहसास तक न हो सका यह उनके दीनी तालीम से वाक़िफ़ न होने की वजह है। मगर शौक़ उनका यह है कि दीनी किताबों को हिन्दी में लायें उनको मेरा मश्वरा यह है कि अपना यह शौक़ पूरा करने के लिए बाक़ाएदा मदर्से में दीनी तालीम हासिल करें और किसी आलिमे दीन की शागिर्दी इख़्तेयार करें ताकि हिन्दी में सही तौर पर किताबें छापने का शौक़ पूरा होसके।

फिर भी मुझे अपनी कम इल्मी का एहसास है। क़ारेईन किताब में किसी भी तरह की ग़लती पायें तो ख़ादिम को ज़रूर इत्तेलाअ् करें ताकि अगले एडीशन में सुधार कर लिया जाये किताब को आसान करने की काफ़ी कोशिश की गई है फिर भी अगर कहीं मसअ्ला समझ में न आये तो किसी सुन्नी सहीहुल अक़ीदा आलिमे दीन से समझलें ताकि दीन का सही इल्म हासिल होसके किताब का मुतालआ करने के दौरान उलमा से राब्ता रखें वक़्तन फ़ वक़्तन किताब में पेश आने वाले मसाइल को समझते रहें।

अल्लाह तआ़ला की बारगाह में दुआ है कि वह अपने हबीबे अकरम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि व सल्लम के सदक़े में इस किताब के ज़रीए क़ारेईन को भरपूर फ़ायदा अता फ़रमाये और इस तर्जमे को मक़बूल व मशहूर फ़रमाये और मुझ ख़ताकार व गुनाहगार के लिये बख़्शिश का ज़रीआ बनाये आमीन!

ख़ादिमुल उलमा
मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी
30 सितम्बर सन.2010

हमे बड़ी मुसर्रत हो रही है कि अल्लाह त'आला और उसके हबीब सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम के हुक्म फ़ज़्ल-ओ-करम से और बुजुर्गाने दीन सिलसिला-ए-क़ादिरिया बिलख़ुसूस पिराने पीर दस्तगीर हुज़ूर ग़ौस-ए-आज़म शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रादिअल्लाहु त'आला अन्हू के फ़ैज़ से क़िताब बहार-ए-शरीअत (हिस्सा **11** से **20**) हिंदी में पीडीएफ **(PDF)** में आप की खिदमत में पेश की जा रही है।

ज़माना-ए- क़दीम से अवमुन्नास की इस्लाहे हाल और हिदायते उख़रवी व दुनयवी के लिए हक़ सदाक़त के जाम की फ़राहमी की जाती रही हैं और ये इलतेज़ाम ख़ालिक़-ए-क़ायनात जल्ला जलालहु ने ब अहसान अपनी मख़लूक़ के लिए फ़रमाया है। अम्बिया व मुर्सलीन के बेहतरीन दौर के बाद उसने यह ख़िदमत अपने मुक़र्रबीन रिज़वानुल्लाह त'आला अलैहिम अजमईन के सुपुर्द की और यह सिलसिला अला हालही जारी व सारि है।

मज़हब-ए-इस्लाम अल्लाह त'आला का पसंदीदा दीन है । ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नही जिसके लिए इस्लाम ने हमे क़ानून न दिया हो ।

आज जिस दौर से हम गुज़र रहे है हमारा मुस्लिम तबका उर्दू की तरफ ध्यान नही दे रहा है और नई नस्ल तो बिल्कुल ही उर्दू से नावाक़िफ़ होती जा रही है । नतीजे के तौर पर दीनी और मज़हबी दिलचस्पियाँ काम हो रही है और हम अपने हाल को ग़ैर मुंज़बित तरीके पे छोड़े रहते है ।

लिहाज़ा ये किताब हिंदी में लिखी गई है और आप सब की आसानी के लिए हम ने इस किताब को पीडीएफ फ़ाइल में आप की ख़िदमत में पेश किया है।

आप सब से हमारी गुज़ारिश है कि अपनी मसरूफ ज़िन्दगी में से रोज़ाना वक़्त निकाल कर बुज़ुर्गो की तस्नीफ़ करदा किताबो को मुताला में रखें , इंशा अल्लाह त'आला दीन और दुनिया दोनो में मक़बूल होंगे।

दुआओं के तलबगार

वसीम अहमद रज़ा खान और साथी

+91-8109613336

https://t.me/Ahlesunnat_HindiBooks

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم
نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّی عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ ط

ख़रीदो फ़रोख़्त का बयान

वह ख़ल्लाक़े आ़लम की क़ुदरते कामिला का इदराक (अल्लाह की क़ुदरत को पूरी त़रह से जानना) इन्सानी त़ाक़त से बाहर है अ़र्श से फ़र्श तक जिधर नज़र कीजिये उसी की क़ुदरत जलवागर है हैवानात व नबातात व जमादात और तमाम मख़लूक़ात उसी के मज़हर हैं उसने अपनी मख़लूक़ात में इन्सान के सर पर ताजे करामत व इ़ज़्ज़त रखा और उसको मदनीयुत्तबा बनाया कि ज़िन्दगी बसर कने में यह अपने नोअ़ का मोह़ताज है क्योंकि इन्सानी ज़रूरियात इतनी ज़ायद और उनकी तह़सील (प्राप्त करने) में इतनी दुशवारियाँ हैं कि हर शख़्स अगर तमाम ज़रूरियात का तनहा मुतकफ़्फ़िल(आत्म निर्भर) होना चाहे ग़ालिबन आ़जिज़ होकर बैठा रहेगा और ज़िन्दगी के अय्याम खूबी के साथ गुज़ार न सकेगा लिहाज़ा उस ह़कीमे मुतलक़ ने इन्सानी जमाअ़त को मुख़्तलिफ़ शोअ़बों और मुतअ़द्दिद क़िस्मों पर मुन्क़सिम (बाँटना) फरमाया कि हर एक जमाअ़त एक-एक काम अन्जाम दे और सब के मजमुआ़ से ज़रूरियात पूरी हों मसलन कोई खेती करता है, कोई कपड़ा बुनता है, कोई दूसरी दस्तकारी करता है जिस त़रह़ खेती करने वालों को कपड़े की ज़रूरत है कपड़ा बुनने वालों को ग़ल्ले की ह़ाजत है न यह उससे मुस्तग़नी (बे परवाह) न वह इससे बेनियाज़ बल्कि हर एक को दूसरे की त़रफ़ एह़तियाज (ज़रूरत मन्दी) लिहाज़ा यह ज़रूरत पैदा हुई कि उस की इसके पास जाये और उसकी उसके पास आये ताकि सबकी ह़ाजतें पूरी हों और कामों में दुश्वारियाँ न हों। यहाँ से मुआ़मलात का सिल्सिला शुरू हुआ बैअ़ (ख़रीद ो फरोख़्त) वग़ैरह हर क़िस्म के मुआ़मलात वुजूद में आये, इस्लाम चूँकि मुकम्मल दीन है और इन्सानी ज़िन्दगी के हर शोबे पर उसका हुक्म नाफ़िज़ है जहाँ इ़बादात के त़रीक़े बताता है, मुआ़मलात के मुतअ़ल्लिक़ भी पूरी रौशनी डालता है ताकि ज़िन्दगी का कोई शोअ़बा तिश्ना बाक़ी न रहे और मुसलमान किसी अ़मल में इस्लाम के सिवा दूसरे का मोह़ताज न रहे। जिस त़रह़ इ़बादात में बाज़ सूरतें जाइज़ हैं और बाज़ नाजाइज़, इसी त़रह़ तह़सीले माल (माल ह़ासिल करने) की भी बाज़ सूरतें जाइज़ हैं और बाज़ नाजाइज़ और ह़लाल रोज़ी की तह़सील इस पर मौक़ूफ़ (निर्भर) कि जाइज़ व नाजाइज़ को पहचाने और जाइज़ त़रीक़े पर अ़मल करे नाजाइज़ से दूर भागे क़ुरआन मजीद में नाजाइज़ त़ौर पर माल ह़ासिल करने की सख़्त मुमानअ़त (रोक) आयी अल्लाह तआ़ला फरमाता है:-

﴿ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلوابها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون-﴾

"आपस में एक दूसरे के माल नाहक़ मत खाओ और हुक्काम के पास उसके मुआ़मले को इसलिए न लेजाओ कि लोगों के माल का कुछ हिस़्सा गुनाह के साथ जानते हुए खा जाओ"।

और फरमाता है।

﴿ياايهاالذين امنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارةعن تراض منكم﴾

"ऐ ईमान वालो आपस में एक दूसरे का माल नाहक़ मत खाओ हाँ अगर बाहमी रज़ा मन्दी से तिजारत हो तो हरज नहीं"।

और फरमाता है।

﴿ياايهاالذين امنوا لاتحرموا طيبت مااحل الله لكم ولاتعتدوا ط انالله لايحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقواالله الذى انتم به مؤمنون ﴾

"ऐ ईमान वालो अल्लाह ने जिस जिस चीज़ को हलाल किया है उन पाकीज़ा चीज़ों को ह़राम न कहो और ह़द से तजावुज़ न करो, ह़द से गुज़रने वालों को अल्लाह दोस्त नहीं रखता और अल्लाह ने जो तुम्हें रोज़ी दी उन में से ह़लाल तय्यिब को खाओ और अल्लाह से डरो जिस पर तुम ईमान लाये हो"।

कसबे हलाल के फ़ज़ायल

तहसीले माल के ज़राए (माल हासिल करने के रास्ते) में से जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और ग़ालिबन रोज़ाना जिससे साबिक़ा पड़ता है वह ख़रीदो फ़रोख़्त है। किताब के इस हिस्से में उसी के मसाइल बयान होंगे, मगर इससे पहले कि फ़िक़्ही मसाइल का सिलसिला शुरू किया जाये कसब ो तिजारत की फ़ज़ीलत में जो अहादीस वारिद हैं उन में से चन्द हदीसों का तर्जमा ज़िक्र किया जाता है।

हदीस (1) सहीह बुख़ारी शरीफ़ में मिक़दाम बिन मादीकरब रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया उस खाने से बेहतर कोई खाना नहीं जिसको किसी ने अपने हाथ से काम करके हासिल किया है और बेशक अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी दस्तकारी से खाते थे।

हदीस (2) सहीह मुस्लिम शरीफ़ में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूर इरशाद फ़रमाते हैं अल्लाह पाक है और पाक ही को दोस्त रखता है और अल्लाह तआला ने मोमेनीन को भी उसी का हुक्म दिया जिसका रसूलों को हुक्म दिया उसने रसूलों से फ़रमाया।

﴿يايها الرسل كلوا من طيبت واعملوا صالحا﴾ "ऐ रसूलो! पाक चीज़ों से खाओ और अच्छे काम करो"

और मोमेनीन से फ़रमाया

﴿يايها الذين امنوا كلوا من طيبت ما رزقنكم﴾

"ऐ ईमान वालो! जो कुछ हमने तुमको दिया उन में पाक चीज़ों से खाओ"।

फिर बयान फ़रमाया कि एक शख़्स तवील सफ़र करता है जिसके बाल परेशान हैं और बदन गर्द आलूद है (यानी उसकी हालत ऐसी है कि जो दुआ करे वह क़बूल हो) वह आसमान की तरफ़ हाथ उठाकर यारब–यारब कहता है (दुआ करता है) मगर हालत यह है कि उसका खाना, पीना हराम, लिबास हराम और गिज़ा हराम फिर उसकी दुआ क्योंकर मक़बूल हो (यानी अगर क़बूल की ख़्वाहिश हो तो कसबे हलाल इख़्तेयार करो कि बिग़ैर उसके क़बूले दुआ के असबाब बेकार हैं)।

हदीस (3) सहीह बुख़ारी शरीफ़ में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इरशाद फ़रमाते हैं लोगों पर एक ज़माना ऐसा आयेगा कि आदमी परवाह भी न करेंगे कि उस चीज़ को कहाँ से हासिल किया है हलाल से या हराम से ।

हदीस (4) तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा उम्मुल मोमेनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रावी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया जो तुम खाते हो उनमें सबसे ज़्यादा पाकीज़ा वह है जो तुम्हारे कसब से हासिल हो और तुम्हारी औलाद की मिनजुम्ला कसब के हों (यानी ब'वक़्ते हाजत औलाद की कमाई से खा सकते हो) अबू दाऊद व दारमी की रिवायत भी इसी के मिस्ल है।

हदीस (5) इमाम अहमद बिन मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया जो बन्दा माले हराम हासिल करता है अगर उसको सदक़ा करे तो मक़बूल नहीं और ख़र्च करे तो उसके लिए उसमें बरकत नहीं और अपने बाद छोड़ मरे तो जहन्नम को जाने का सामान है। (यानी माल की तीन हालतें हैं और हराम माल की तीनों हालतें ख़राब) अल्लाह तआला बुराई को बुराई से नहीं मिटाता हाँ नेकी से बुराई को महव (ख़त्म) फ़रमाता है बेशक ख़बीस् को ख़बीस् नहीं मिटाता

हदीस (6) इमाम अहमद व दारमी व बैहक़ी जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हुज़ूर ने फ़रमाया जो गोश्त हराम से उगा है जन्नत में दाख़िल न होगा (यानी इब्तेदाअन) और जो गोश्त हराम से उगा है उसके लिये आग ज़्यादा बेहतर है।

हदीस (7) बैहकी शोअबुल ईमान में अब्दुल्ला रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया "हलाल कमाई की तलाश भी फराइज़ के बाद एक फ़रीज़ा है"।

हदीस् (8) इमाम अहमद तिबरानी व हाकिम राफ़ेअ् बिन खुदैज रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी किसी ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह कौनसा कसब (कमाई) ज़्यादा पाकीज़ा है फ़रमाया "आदमी का अपने हाथ से काम करना और अच्छी बैअ्" (यानी जिसमें ख़ियानत और धोखा न हो या यह कि वह बैअ् फ़ासिद न हो)

हदीस् (9) तिबरानी इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि इरशाद फ़रमाया "अल्लाह तआला बन्दा–ए–मोमिन पेशा करने वालों को महबूब रखता है"।

यह चन्द हदीस कसबे हलाल (हलाल कमाई) के मुतअल्लिक़ ज़िक्र की गईं इनके अलावा बाज़ अहादीस ख़ास तिजारत के मुतअल्लिक़ बयान की जाती हैं।

हदीस् (10) इमाम अहमद ने अबूबक्र बिन अबी मरयम से रिवायत की वह कहते हैं कि मिक़दाम बिन मादीकरब रदियल्लाहु तआला अन्हु की कनीज़ दूध बेचा करती थी और उसका समन (क़ीमत) मिक़दाम रदियल्लाहु तआला अन्हु लिया करते थे उनसे किसी ने कहा सुब्हानल्लाह आप दूध बेचते हैं और उसका समन लेते हैं (गोया उसने उस तिजारत को नज़रे हिक़ारत से देखा) उन्होंने जवाब दिया हाँ मैं यह काम करता हूँ और इसमें हरज ही क्या है मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है कि लोगों पर एक ऐसा ज़माना आयेगा कि सिवा रूपये और अशरफ़ी के कोई चीज़ नफ़अ् न देगी।

हदीस् (11) तिर्मिज़ी व दारमी व दारे क़ुतनी अबी सईद रदियल्लाहु तआला अन्हु से और इब्ने माजा इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया ताजिर रास्तगो, अमानतदार (सच बोलने वाला और अमानतदार ताजिर) अम्बिया व सिद्दीक़ीन व शोहदा के साथ होगा।

हदीस् (12) तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व दारमी रिफ़ाआ रदियल्लाहु अन्हु से और बैहक़ी शोअ्बुल ईमान में बर्रा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया तुज्जार (तिजारत करने वाले) क़ियामत के दिन फ़ुज्जार (बदकार) उठाये जायेंगे मगर जो ताजिर मुत्तक़ी हो और लोगों के साथ एहसान करे और सच बोले।

हदीस् (13) इमाम अहमद व इब्ने खुज़ैमा व हाकिम व तिबरानी व बैहक़ी अब्दुर्रहमान बिन शिब्ल और तिबरानी मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया तुज्जार बदकार हैं लोगों ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह अल्लाह तआला ने बैअ् हलाल नहीं की है फ़रमाया हाँ बैअ् हलाल है लेकिन यह लोग बात करने में झूठ बोलते हैं और क़सम खाते हैं इस में झूठे होते हैं।

हदीस् (14) बैहक़ी शोअ्बुल ईमान में मआज़ बिन जबल रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि इरशाद फ़रमाया "तमाम कमाईयों में से ज़्यादा पाकीज़ा उन ताजिरों की कमाई है कि जब वह बात करें झूठ न बोलें और जब उनके पास अमानत रखी जाये ख़्यानत न करें और जब वादा करें उसका ख़िलाफ़ न करें और जब किसी चीज़ को ख़रीदें तो उसकी मज़म्मत (बुराई) न करें और जब अपनी चीज़ बेचें तो उनकी तारीफ़ में मुबालग़ा (बढ़ा चढ़ाकर तारीफ़) न करें और उन पर किसी का आता हो तो देने में ढील न डालें और जब उनका किसी पर आता हो तो सख़्ती न करें"।

हदीस् (15) सहीह मुस्लिम में अबू क़तादा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि "बैअ् में हल्फ़ (क़सम) की कसरत से परहेज़ करो कि यह अगरचे चीज़ को बिकवा देता है मगर बरकत को मिटाता है" उसी के मिस्ल सहीहैन में अबुहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी।

हदीस (16) सहीह मुस्लिम में अबूज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुज़ूर ने फ़रमाया "तीन शख़्सों से अल्लाह तआला क़ियामत के दिन कलाम नहीं फ़रमायेगा और न उनकी तरफ़ नज़र करेगा और न उनको पाक करेगा और उनके लिए तकलीफ़देह अज़ाब होगा" अबुज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की वह ख़ाइब व खासिर हैं या रसूलल्लाह वह कौन लोग हैं फ़रमाया कि

"कपड़ा लटकाने वाला और देकर एहसान जताने वाला और झूठी क़सम के साथ अपना सौदा चलाने वाला।

हदीस (17) अबूज़र व तिर्मिज़ी व नसई व इब्ने माजा क़ैस इब्ने अबी ग़र्रह रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "ऐ गिरोहे तुज्जार! (ताजिरों की जमाअत) बैअ् में लग्व और क़सम हो जाती है उसके साथ सदक़ा को मिला लिया करो"।

फ़ायदा–ए–ज़रूरिया :– तिजारत बहुत उमदा और नफ़ीस काम है मगर अकसर तुज्जार किज़्ब बयानी से काम लेते बल्कि झूठी क़समें खालिया करते हैं इसी लिए अकसर अहादीस में जहाँ तिजारत का ज़िक्र आता है झूठ बोलने और झूठी क़सम खाने के साथ ही साथ मुमानअत भी आती है और यह वाक़ेआ भी है कि अगर ताजिर अपने माल में बरकत देखना चाहता है तो बुरी बातों से गुरेज़ करे। ताजिरों की इन्हीं बद उनवानियों की वजह से बाज़ार को बदतरीन बुक़्क़ए ज़मीन (बुरा ज़मीन का टुकड़ा) फ़रमाया गया और यह कि शैतान हर सुबह को अपना झन्डा लेकर बाज़ार में पहुँच जाता है और बे ज़रूरत बाज़ार में जाने को बुरा बताया गया। कुरआने करीम का इरशाद भी इसी की तरफ़ इशारा करता है।
﴿رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله﴾ कि तिजारत व बैअ् यादे खुदा से ग़ाफ़िल करने वाली चीज़ है और उससे दिलचस्पी ग़फ़लत लाने वाली चीज़ है इसी वजह से फ़रमाया गया

﴿واذا راو تجارة او لهو انفضوا اليها و تركوك قائما﴾

लिहाज़ा फ़र्ज़ है कि तिजारत में इतना इन्हिमाक (लग जाना) न हो कि यादे खुदा से ग़फ़लत का मूजिब (सबब) हो सहीह बुख़ारी शरीफ में है क़तादा कहते हैं सहाब–ए–किराम ख़रीद ो फ़रोख़्त व तिजारत करते थे मगर जब हुक़ूकुल्लाह में से कोई हक़ पेश आजाता तो तिजारत व बैअ् अल्लाह के ज़िक्र से नहीं रोकती वह उस हक़ को अदा करते। बाज़ार में दाख़िल होने के वक़्त यह दुआ पढ़ लिया करो।

﴿لااله الاالله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لايموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير﴾

"लाइला ह इल्लल्लाहु वहदहू लाशरीका् लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा् हय्युल्ला यमूतु बियदिहिल ख़ैर व हुवा् अला कुल्लि शैइन क़दीर"

इमाम अहमद साहिबे तिर्मिज़ी व हाकिम इब्ने माजा ने इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया जो बाज़ार में दाख़िल होते वक़्त यह दुआ पढ़ेगा अल्लाह तआला उसके लिये एक लाख नेकी लिखेगा और एक लाख गुनाह मिटा देगा और एक लाख दर्जा बुलन्द फ़रमायेगा और उसके लिये एक घर जन्नत में बनायेगा।

ख़रीद ो फ़रोख़्त में नर्मी चाहिए

ख़रीद ो फ़रोख़्त मे नर्मी व समाहत (हुस्ने सुलूक, दरगुज़र) चाहिए कि हदीस में उसकी मदह व तारीफ़ आई है सहीह बुख़ारी में, सुनने इब्ने माजा में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं अल्लाह तआला उस शख़्स पर रहम करेगा जो बेचने और ख़रीदने और तक़ाज़े में आसानी करे उसी के मिस्ल तिर्मिज़ी व हाकिम व बैहक़ी अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से और अहमद व नसई व बैहक़ी उसमान बिन अफ़्फ़ान रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी सहीहैन में हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं "ज़मानए गुज़श्ता में एक शख़्स की रूह क़ब्ज़ करने जब फ़िरिश्ता आया उससे कहा गया तुझे मालूम है कि तुमने कुछ अच्छा काम किया है उसने कहा मेरे इल्म में कोई अच्छा काम नहीं है उससे कहा गया ग़ौर करके बता उसने कहा उसके सिवा कुछ नहीं है कि मैं दुनिया में लोगों से बैअ् करता था और उनके साथ अच्छी तरह पेश आता था अगर

मालदार मोहलत माँगता तो उसे मोहलत दे देता था और तंगदस्त से दर गुज़र करता था यानी मुआफ़ कर देता था अल्लाह तआला ने उसे जन्नत में दाख़िल कर दिया'' और सहीह मुस्लिम की एक रिवायत उक़बा बिन आमिर व अबू मसऊद अन्सारी रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से है कि अल्ला तआला ने फ़रमाया कि मैं तुझसे ज़्यादा मुआफ़ करने का हक़दार हूँ ऐ फ़िरिश्तो! इस बन्दे से दर गुज़र करो।

मसाएले फ़िक़्हिय्याः— इस्तिलाहे शरअ् में बैअ् के माना यह हैं कि दो शख़्सों का बाहम माल को माल से एक मख़्सूस सूरत के साथ तबादला करना। बैअ् कभी क़ौल से होती है और कभी फ़ेअ्ल से। अगर क़ौल से हो तो उसके अरकान ईजाब ो क़बूल हैं यानी मसलन एक ने कहा मैंने बेचा दूसरे ने कहा मैंने ख़रीदा, और फ़ेअ्ल से हो तो चीज़ का ले लेना और दे देना उसके अरकान हैं और यह फ़ेअ्ल ईजाब ो क़बूल के क़ायम मक़ाम होजाता है मसलन तरकारी वग़ैरह की गड्डी बनाकर अकसर बेचने वाले रख देते हैं और ज़ाहिर करते हैं कि पैसा, पैसा की गड्डी है। ख़रीदार आता है एक पैसा डालता है और एक गड्डी उठा लेता है तरफ़ैन बाहम कोई बात नहीं करते मगर दोनों के फ़ेअ्ल ईजाब ो क़बूल के क़ायम मक़ाम शुमार होते हैं और इस क़िस्म की बैअ् को बैअे तआती कहते हैं। बैअ् के तरफ़ैन में से एक को बाइअ् और दुसरे को मुश्तरी कहते हैं।

मसअ्ला.1:— बैअ् के लिये चन्द शराइत हैं।

(1) बाइअ् व मुश्तरी का आक़िल होना यानी मजनून या बिलकुल ना'समझ बच्चा की बैअ् सही नहीं (2) आक़िद का मुतअ़द्दिद होना यानी एक ही शख़्स बाइअ् व मुश्तरी दोनों हो यह नहीं हो सकता मगर बाप या वसी कि नाबालिग़ बच्चा के माल को बैअ् करें और ख़ुद ही ख़रीदें या अपना माल उनसे बैअ् करें, या क़ाज़ी कि ऐसे यतीम के माल को दूसरे यतीम के लिए बैअ् करे तो अगरचे इन सूरतों में एक ही शख़्स बाइअ् व मुश्तरी दोनों है मगर बैअ् जाइज़ है बशर्ते कि वसी की बैअ् में यतीम का खुला हुआ नफ़ा हो, यूँही एक ही शख़्स दोनों तरफ़ से क़ासिद हो तो इस सूरत में भी बैअ् जाइज़ है। (आलमगीरी, बहरुर्राइक़ जि.5 स.432 रद्दुलमुहतार) (3) ईजाब ो क़बूल में मुवाफ़क़त होना यानी जिस चीज़ का ईजाब हो उसी चीज़ का क़बूल या जिस चीज़ के साथ ईजाब किया है उसी के साथ क़बूल हो अगर क़बूल किसी दूसरी चीज़ को किया या जिसका ईजाब था उसके एक जुज़ को क़बूल किया या क़बूल में समन दूसरा ज़िक्र किया या ईजाब के बाज़ समन के साथ क़बूल किया इन सब सूरतों में बैअ् सही नहीं हाँ अगर मुश्तरी ने ईजाब किया और बाइअ् ने उससे कम समन के साथ क़बूल किया तो बैअ् सही है (4) ईजाब व क़बूल का एक मज्लिस में होना (5) हर एक का दूसरे के कलाम को सुनना, मुश्तरी ने कहा मैंने ख़रीदा मगर बाइअ् ने नहीं सुना तो बैअ् न हुई हाँ अगर मज्लिस वालों ने कलाम सुन लिया और बाइअ् (बेचने वाला) कहता है कि मैंने नहीं सुना तो क़ज़ाअन बाइअ् का क़ौल ना'मोअ्तबर है। (6) मबीअ् (जो चीज़ बेची जाये) का मैजूद होना माले मुतक़व्विम होना, ममलूक होना, मक़दूरुत्तस्लीम (हवाले करने पर क़ादिर) होना, ज़रूरी है जो चीज़ मौजूद ही न हो बल्कि उसके मौजूद न होने का अन्देशा हो उसकी बैअ् नहीं मसलन ह़म्ल या थन में जो दूध है उसकी बैअ् ना'जाइज़ है कि हो सकता है जानवर का पेट फूला है और उसमें बच्चा न हो और थन में दूध न हो, फल नमूदार (ज़ाहिर) होने से पहले बेच नहीं सकते यूहीं ख़ून और मुर्दार की बैअ् नहीं हो सकती कि यह माल नहीं और मुसलमान के हक़ में शराब व ख़िन्ज़ीर की बैअ् नहीं हो सकती कि माले मुतक़व्विम नहीं, ज़मीन में जो घास लगी हुई है उसकी बैअ् नहीं हो सकती अगरचे ज़मीन अपनी मिल्क हो (यानी उस ज़मीन का मालिक हो) कि वह घास ममलूक नहीं यूँही नहर या कुँएं का पानी जंगल की लकड़ी और शिकार जब तक कि उनको कब्ज़ा में न किया जाये ममलूक नही। (7)बैअ् मोअक़्क़त (वक़्त की क़ैद) न हो मसलन इतने दिनों के लिये बेचा तो यह बैअ् सही नहीं। (8)मबीअ् व समन दोनों इस तरह मालूम हों कि निज़ाअ् (इख़्तिलाफ़) पैदा न होसके, अगर मजहूल हो

कि निज़ाअ् हो सकती हो तो बैअ् सही नहीं मसलन इस रेवड़ में से एक बकरी बेची या उस चीज़ को वाजिबी दाम में बेचा, उस कीमत पर बेचा जो फुलाँ शख़्स बताये।

बैअ् का हुक्म

मसअला.2:– बैअ् का हुक्म यह है कि मुश्तरी मबीअ् का (ख़रीदने वाला बिकने वाली चीज़ का) मालिक हो जाये और बाइअ् समन का (बेचने वाला कीमत का) जिसका नतीजा यह होगा कि बाइअ् पर वाजिब है कि मबीअ् को मुश्तरी के हवाले करे और मुश्तरी पर वाजिब है कि बाइअ् को समन देदे, यह उस वक़्त है कि बात (कतई) हो और अगर मबीअ् मौकूफ़ है कि दूसरे की इजाज़त पर मौकूफ़ है तो सुबूते मिल्क उस वक़्त होगा जब इजाज़त हो जाये। (आलमगीरी)

मसअला.3:– हज़्ल (मजाक) के तौर पर बैअ् की कि अलफ़ाज़े बैअ् अपनी खुशी से बोल रहा है मगर यह नहीं चाहता कि यह चीज़ बिक जाये ऐसी बैअ् सही नहीं, और हज़्ल का हुक्म उस वक़्त दिया जायेगा कि सराहतन अक़्द में हज़्ल का लफ़्ज़ मौजूद हो या पहले से उन दोनों ने बाहम ठहरा लिया है कि लोगों के सामने मज़ाक के तौर पर बैअ् करेंगे और इस गुफ़्तगू पर दोनों क़ायम हैं इससे रूजूअ् नहीं किया है उसे हज़्ल क़रार देकर ना'दुरुस्त कहेंगे और अगर न अक़्द में हज़्ल का लफ़्ज़ है और न पेश्तर ऐसा ठहरा लिया है तो क़राइन की बिना पर उसे हज़्ल नहीं कह सकते बल्कि यह बैअ् सही मानी जायेगी बैअ् हज़्ल अगरचे बैअ़े फ़ासिद है मगर क़ब्ज़ा करने में भी उसमें मिल्क हासिल नहीं होती। (रद्दुलमुहतार)

मसअला.4:– किसी शख़्स को बैअ् करने पर मजबूर किया गया यानी बैअ् न करने में क़त्ल या क़तअ़े अज़्व (जिस्म का हिस्सा काटने) की धमकी दी गई उसने डरकर बैअ् करदी तो यह बैअ् फ़ासिद है और मौकूफ़ है कि इकराह (मजबूरी) जाते रहने के बाद उसने इजाज़त देदी तो जाइज़ हो जायेगी। (रद्दुलमुहतार)

ईजाब व क़बूल

मसअला.5:– ऐसे दो लफ़्ज़ जो तम्लीक व तमल्लुक का इफ़ादा करते हों यानी जिनका यह मतलब हो कि चीज़ का मालिक दूसरे को करदिया या दूसरे की चीज़ का मालिक होगया इनको ईजाबो क़बूल कहते हैं इनमें से पहले कलाम को ईजाब कहते हैं और उसके मक़ाबिल में बाद वाले कलाम को क़बूल कहते हैं मसलन बाइअ् ने कहा मैंने यह चीज़ इतने दाम में बेची मुश्तरी ने कहा मैंने ख़रीदी तो बाइअ् का कलाम ईजाब है और मुश्तरी का क़बूल और अगर मुश्तरी पहले कहता है कि मैंने यह चीज़ इतने में ख़रीदी तो यह ईजाब होता है और बाइअ् का लफ़्ज़ क़बूल कहलाता है।

मसअला.6:– ईजाब व क़बूल के अलफाज़ फारसी, उर्दू वग़ैरा हर ज़बान के हो सकते हैं, दोनों के अलफ़ाज़ माज़ी हों जैसे ख़रीदा, बेचा या दोनों हाल हों जैसे ख़रीदता हूँ, बेचता हूँ या एक माज़ी और एक हाल हो मसलन एक ने कहा बेचता हूँ दुसरे ने कहा ख़रीदा मुस्तक़बिल के सेग़े (ऐसा लफ्ज बोलना जिस से भविष्य में खरीदना या बेचना समझा जाये) से बैअ् नहीं हो सकती दोनों के लफ़्ज़ मुस्तक़बिल के हों या एक का मसलन ख़रीदूँगा, बेचूँगा कि मुस्तक़िबल का लफ़्ज़ आइन्दा अक़्द सादिर करने के इरादे पर दलालत करता है फ़िलहाल अक़्द का इस्बात नहीं करता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.7:– एक ने अम्र का सेग़ा (ऐसा लफ्ज जिस से आर्डर, हुक्म हो) इस्तेमाल किया जो हाल पर दलालत करता है दूसरे ने माज़ी का मसलन उसने कहा इस चीज़ को इतने पर ले दूसरे ने कहा मैंने लिया इक़तिज़ाअन (फैसले के तौर पर) बैअ् सहीह होगई कि अब न बाइअ् देने से इनकार कर सकता है न मुश्तरी लेने से। (आलमगीरी)

मसअला.8:– यह ज़रूरी नहीं कि ख़रीदना और बेचना ही कहें तो बैअ् हो वरना न हो बल्कि यह मतलब अगर दूसरे लफ़्ज़ से अदा होता हो तो भी अक़्द हो सकता है मसलन मुश्तरी ने कहा यह चीज़ मैंने तुम से इतने में ख़रीदी बाइअ् ने कहा हाँ, मैंने कहा दाम लाओ, ले लो, तुम्हारे ही लिये है,

मन्जूर है, मैं राज़ी हूँ, मैंने जाइज़ किया। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– बाइअ् ने कहा मैंने यह बेची मुश्तरी ने कहा हाँ तो बैअ् न हुई और अगर मुश्तरी ईजाब करता है और बाइअ् जवाब में हाँ कहता तो सही होजाती, इस्तिफ़हाम (प्रश्न) के जवाब में हाँ कहा तो बैअ् न होगी मगर जब कि मुश्तरी उसी वक़्त अदा करदे कि यह समन अदा करना क़बूल है मसलन कहा क्या तुमने यह चीज़ मेरे हाथ इतने में बैअ् की उसने कहा हाँ मुश्तरी ने समन दे दिया बैअ् होगई। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– मैंने अपना घोड़ा तुम्हारे घोड़े से बदला दूसरे ने कहा और मैंने भी किया तो बैअ् हो गई, बाइअ् ने कहा यह चीज़ तुम पर एक हज़ार को है मुश्तरी ने कहा मैंने क़बूल की बैअ् होगई।

मसअ्ला.11:– एक शख़्स ने कहा यह चीज़ तुम्हारे लिये एक हज़ार को है अगर तुमको पसन्द हो दूसरे ने कहा मुझे पसन्द है बैअ् होगई यूँही अगर यह कहा कि अगर तुम को मुवाफ़िक़ आये या तुम इरादा करो या तुम्हें उसकी ख़्वाहिश हो उसने जवाब में कहा मुझे मुवाफ़िक़ है या मैंने इरादा किया या मुझे उसकी ख़्वाहिश है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– एक शख़्स ने कहा यह सामान ले जाओ और उसके मुतअ़ल्लिक़ आज ग़ौर करलो अगर तुमको पसन्द हो तो एक हज़ार को है दूसरा उसे लेगया बैअ् जाइज़ हो गई। (ख़ानिया)

मसअ्ला.13:– एक शख़्स ने दूसरे के हाथ एक ग़ुलाम की हज़ार रूपये में बैअ् की और कह दिया कि आज दाम न लाओगे तो मेरे और तुम्हारे दरमियान बैअ् न रहेगी मुश्तरी ने उसे मन्जूर किया मगर उस रोज़ दाम नहीं लाया दूसरे रोज़ मुश्तरी बाइअ् से मिला और यह कहा कि तुमने यह ग़ुलाम मेरे हाथ एक हज़ार में बेचा उसने कहा हाँ मुश्तरी ने कहा मैंने उसे लिया तो बैअ् उस वक़्त सही होगई कि कल जो बैअ् हुई थी वह समन न देने की वजह से जाती रही। (ख़ानिया)

मसअ्ला.14:– एक ने दुसरे को दूर से पुकार कर कहा मैंने यह चीज़ तुम्हारे हाथ इतने में बैअ् की उसने कहा मैंने ख़रीदी अगर इतनी दूर है कि उनकी बात में इश्तिबाह (शक) नहीं होता तो बैअ् दुरूस्त है वरना ना'दुरूस्त। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– बाइअ् ने कहा उसको मैंने तेरे हाथ बेचा मुश्तरी ने उसे खाना शुरू कर दिया या जानवर था उस पर सवार होगया या कपड़ा था उसे पहन लिया तो बैअ् होगई यानी यह तसर्रूफ़ात क़बूल के कायम मक़ाम हैं यूँही एक शख़्स ने दुसरे से कहा इस चीज़ को खालो उसके बदले में मेरा एक रूपया तुम पर लाज़िम होगा उसने खा लिया तो बैअ् दुरुस्त होगई और खाना ह़लाल होगया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– दो शख़्सों में एक थान के मुतअ़ल्लिक़ नर्ख़(भाव)होने लगा बाइअ् ने कहा पन्द्रह में बेचता हूँ, मुश्तरी ने कहा दस में लेता हूँ उससे ज्यादा नहीं दूँगा और मुश्तरी उस थान को लेकर चलागया अगर नर्ख़ करते वक़्त थान मुश्तरी के हाथ में था जब तो पन्द्रह में बैअ् हुई अगर बाइअ् के हाथ में था मुश्तरी ने उसे लिया उसने मना किया तो दस रूपये में बैअ् हुई और अगर थान मुश्तरी के पास है और मुश्तरी ने कहा दस से ज्यादा नहीं दूँगा और बाइअ् ने कहा पन्द्रह से कम में नहीं बेचूँगा मुश्तरी ने थान वापस करदिया उसके बाद फिर बाइअ् से कहा लाओ दो, बाइअ् ने दे दिया और समन के मुतअ़ल्लिक़ कुछ न कहा और मुश्तरी लेकर चला गया तो दस में बैअ् हुई(ख़ानिया)

मसअ्ला.17:– एक चीज़ के मुतअ़ल्लिक़ बाइअ् ने समन बदल कर दो ईजाब किये मसलन पहले पन्द्रह रूपये कहा दूसरे में एक गिन्नी समन बताया इन दोनों ईजाबों के बाद मुश्तरी ने क़बूल किया तो दूसरे समन के साथ बैअ् क़रार पायेगी और अगर मुश्तरी ने पहले ईजाब के बाद क़बूल किया था फिर दूसरे ईजाब के बाद क़बूल किया तो पहली बैअ् फ़स्ख़ होगई दूसरी स़हीह होगई और अगर दोनों ईजाबों में एक ही क़िस्म का समन है मगर मिक़दार में कमो बेश है मसलन पन्द्रह रूपये कहा था फिर दस या उसका अ़क्स जब भी दूसरी बैअ् मोअ़्तबर है पहली जाती रही और अगर

मिक़दार में कमो बेशी न हो तो पहली ही बैअ् दुरुस्त है दूसरी लग्व। (आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– जिस मज्लिस में ईजाब हुआ अगर क़बूल करने वाला उस मज्लिस से ग़ायब हुआ तो ईजाब बिलकुल बातिल हो जाता है यह नहीं हो सकता कि उसके क़बूल करने पर मौकूफ़ हो कि उसे ख़बर पहुँचे और क़बूल करे तो बैअ् दुरुस्त हो जाये हाँ अगर क़बूल करने वाले के पास ईजाब के अलफ़ाज़ लिखकर भेजे हैं तो जिस मज्लिस में तहरीर पहुँची उसी मज्लिस में क़बूल किया तो बैअ् सहीह है उस मज्लिस में क़बूल न किया तो फिर क़बूल नहीं कर सकता यूँही अगर ईजाब के अलफ़ाज़ किसी क़ासिद के हाथ कहलाकर भेजे तो जिस मज्लिस में यह क़ासिद उसे ख़बर पहुँचायेगा उसी में क़बूल कर सकता है उसकी सूरत यह है कि बाइअ् ने एक शख़्स से कहा कि मैंने यह चीज़ फुलाँ शख़्स के हाथ इतने में बेची ऐ शख़्स तू उसके पास जाकर ख़बर पहुँचादे अगर ग़ायब की तरफ़ से किसी और शख़्स ने जो मज्लिस में मौजूद है क़बूल कर लिया तो ईजाब बातिल न हुआ बल्कि यह बैअ् उस ग़ायब की इजाज़त पर मौकूफ़ (निर्भर) है, अगर एक शख़्स को उसने ख़बर पहुँचाने पर मामूर (आदेशित) किया था मगर दूसरे ने ख़बर पहुँचादी और उसने क़बूल कर लिया तो बैअ् सहीह हो गई जिस तरह ईजाब तहरीरी होता है क़बूल भी तहरीरी हो सकता है मसलन एक ने दूसरे के पास ईजाब लिखकर भेजा दूसरे ने क़बूल को लिखकर भेज दिया बैअ् हो जायेगी मगर यह ज़रूर है कि जिस मज्लिस में ईजाब की तहरीर मौसूल (प्राप्त) हुई है क़बूल की तहरीर उसी मज्लिस में लिखी जाये वरना ईजाब बातिल हो जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार, आलमगीरी)

ख़्यारे क़बूल

मसअ्ला.19:– आक़िदैन में से जब एक ने ईजाब किया तो दूसरे को इख़्तेयार है कि मज्लिस में क़बूल करे या रद करे उसका नाम ख़्यारे क़बूल है, ख़्यारे क़बूल में वरासत नहीं जारी होती मसलन यह मर जाये तो उसके वारिस् को क़बूल करने का हक़ हासिल न होगा। (आलमगीरी)

ख़्यारे क़बूल आख़िरे मज्लिस तक रहता है मज्लिस बदलने के बाद जाता रहता है, यह भी ज़रूरी है कि ईजाब करने वाला ज़िन्दा हो यानी ईजाब के बाद क़बूल से पहले मरगया तो अब क़बूल करने का हक़ न रहा क्योंकि ईजाब ही बातिल हो गया क़बूल किस चीज़ को करेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.20:– ख़्यारे क़बूल आख़िर मज्लिस तक रहता है मज्लिस बदल जाने के बाद जाता रहता है। यह भी ज़रूरी है कि ईजाब करने वाला ज़िन्दा हो यानी अगर ईजाब के बादी क़बूल से पहले मरगया तो अब क़बूल करने का हक़ न रहा क्योंकि ईजाब ही बातिल होगया कबूल किस चीज़ को करेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.21:– दोनों में से कोई भी उस मज्लिस से उठ जाये या बैअ् के अलावा किसी भी काम में मशगूल हो जाये तो ईजाब बातिल हो जाता है। क़बूल करने से पहले मूजिब (क़बूल करने वाला) को इख़्तेयार है कि ईजाब को वापस करले क़बूल के बाद वापस नहीं ले सकता कि दूसरे का हक़ मुतअ़ल्लिक़ हो चुका है वापस लेने में उसका इब्ताल (हक़ ख़त्म) होता है। (हिदाया वग़ैरा)

मसअ्ला.22:– ईजाब को वापस लेने में यह ज़रूर है कि दूसरे ने उसको सुना हो मसलन बाइअ् ने कहा मैंने इसको बेचा फिर अपना ईजाब वापस लिया मगर उसको मुश्तरी ने नहीं सुना और क़बूल कर लिया तो बैअ् सहीह होगई और अगर मूजिब ईजाब वापस लेना और दूसरे का क़बूल करना यह दोनों एक साथ पाये जायेंगे तो वापसी दुरुस्त है और बैअ् नहीं हुई। (आलमगीरी)

मसअ्ला.23:– ईजाब को लिखकर भेजा है या किसी क़ासिद के हाथ कहला भेजा है जब तक दूसरे को तहरीर या पैग़ाम न पहुँचा हो या क़बूल न किया हो उस भेजने वाले को वापस लेने का इख़्तेयार है यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं कि क़ासिद को वापस लेने का इल्म होगया हो या खुद मकतूब इलैह (जिस की तरफ़ ख़त भेजा) या मुरसल इलैह को इल्म हो बल्कि अगर उनमें से किसी को भी इल्म न हो जब भी रुजूअ् सहीह है और रुजूअ् के बाद अगर क़बूल पाया जाये तो बैअ् नहीं हो

सकती। (फ़तहुल क़दीर)

मसअ्ला.24:– जब ईजाब व क़बूल दोनों हो चुके तो बैअ् तमाम व लाज़िम होगई अब किसी को दूसरे की रज़ामन्दी के बिग़ैर रद कर देने का इख़्तेयार न रहा अलबत्ता अगर मबीअ् में ऐ़ब हो या मबीअ् को मुश्तरी ने नहीं देखा हो तो ख़्यारे ऐ़ब व ख़्यारे रूयत (चीज में ऐब होने पर ख़रीदार को लेने या न लेने के इख़्तेयार को ख़्यारे ऐ़ब कहते हैं) (चीज़ को देखकर लेने या न लेने के इख़्तेयार को ख़्यारे रूयत कहते हैं) ह़ासिल होता है उनका ज़िक्र बा'द में आयेगा। (हिदाया)

बैअ् तआ़ती

मसअ्ला.25:– बैअ् तआ़ती जो बिग़ैर लफ़्ज़ी ईजाब व क़बूल के महज़ चीज़ ले लेने और दे देने से हो जाती है यह सिर्फ़ मा'मूली अश्या साग, तरकारी वग़ैरह के साथ ख़ास नहीं बल्कि यह बैअ् हर क़िस्म की चीज़ नफ़ीस ो ख़सीस (अच्छी और ख़राब) हर चीज़ में हो सकती है और जिस त़रह ईजाब व क़बूल से बैअ् लाज़िम हो जाती है यहाँ भी समन दे देने और चीज़ ले लेने के बा'द बैअ् लाज़िम हो जायेगी कि बिग़ैर दूसरे की रज़ामन्दी के रद करने का किसी को ह़क़ नहीं। (हिदाया वग़ैरा)

मसअ्ला26:– एक जानिब से तआ़ती हो मस्लन चीज़ का दाम त़य होगया और मुश्तरी चीज़ को बाइअ् की रज़ा'मन्दी से उठा लेगया और दाम न दिया या मुश्तरी ने बाइअ् को समन अदा कर दिया और चीज़ बिग़ैर लिये चला गया तो इस सूरत में भी बैअ् लाज़िम होती है कि अगर इन दोनों में से कोई भी रद करना चाहे तो रद नही कर सकता क़ाज़ी बैअ् को लाज़िम कर देगा दाम त़य करने की वहाँ ज़रूरत है कि दाम मा'लूम न हो और अगर मा'लूम हो जैसे बाज़ार में रोटी बिकती है आ़म तौ़र पर हर शख़्स को नर्ख़ (भाव) मा'लूम है या गोश्त वग़ैरह बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका समन लोगों को मा'लूम होता है ऐसी चीज़ों के समन त़य करने की ज़रूरत नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.27:– दुकानदार को गेहूँ के लिये रूपये देदिये और उससे पूछा रूपये के कितने सेर, उसने कहा दस सेर, मुश्तरी ख़ामोश होगया या'नी वह नर्ख़ मन्ज़ूर कर लिया फिर उससे गेहूँ त़लब किये बाइअ् ने कहा कल दूँगा मुश्तरी चला गया दूसरे दिन गेहूँ लेने आया तो नर्ख़ तेज़ होगया बाइअ् को उसी पहले नर्ख़ से देना होगा। (रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला.28:– बैअ़े तआ़ती में यह ज़रूर है कि लेन देन के वक़्त अपनी नाराज़ी ज़ाहिर न करता हो और अगर नाराज़ी का इज़्हार करता हो तो बैअ् मुनअ़क़िद (नाफ़िज़) नहीं होगी मसलन ख़रबूज़ा, तरबूज ले रहा है बाइअ् को पैसे दे दिये मगर बाइअ् कहता जाता है कि इतने में नही दूँगा तो बैअ् न हुई अगरचे बाज़ार वालों की आ़दत मा'लूम है कि उनको देना नहीं होता तो पैसे फेंक देते हैं या चीज़ छीन लेते हैं और ऐसा न करें तो दिल से राज़ी हैं ख़ाली मुँह से मुश्तरी को खुश करने के लिये कहते जाते हैं कि नहीं दूँगा नहीं दूँगा इस आ़दत के मा'लूम होने की सूरत में भी अगर स़राह़तन नाराज़ी मौजूद हो तो बैअ् दुरुस्त नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.29:– एक बोझ एक रूपये को ख़रीदा फिर बाइअ् से यह कहा कि इसी दाम का एक बोझ यहाँ लाकर डाल दो उसने लाकर डाल दिया तो उस दूसरे की भी बैअ् होगई मुश्तरी लेने से इनकार नहीं कर सकता। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.30:– क़स़्साब से कहा रूपये के तीन सेर के ह़िसाब से इतने का गोश्त तोल दो या उस जगह का पहलू या रान या सीना का गोश्त दो उसने तोल दिया तो अब लेने से इनकार नहीं कर सकता। (फ़तहुल क़दीर)

मसअ्ला.31:– ख़रबूज़ों का टुकड़ा लाया जिस में बड़े, छोटे हर क़िस्म के फल हैं मालिक से मुश्तरी ने पूछा कि यह ख़रबूज़े किस ह़िसाब से हैं उसने रूपये के दस बताये मुश्तरी ने दस फल छाँट कर बाइअ् के सामने निकाल लिये या बाइअ् ने मुश्तरी के लिये निकाल दिये मुश्तरी ने ले लिये बैअ् हो गई। (फ़तहुल क़दीर)

मसअ्ला32:– दुकानदारों के यहाँ से ख़र्च के लिये चीज़ें मंगाली जाती हैं और ख़र्च कर डालने के बाद हिसाब होता है ऐसा करना इस्तेहसानन जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मबीअ् व स्मन

मसअ्ला.33:– अ़क्द में जो चीज़ मुअय्यन (ख़ास) होती है कि जिसको देना कहा उसी का देना वाजिब है उसको मबीअ् कहते हैं और जो चीज़ मुअय्यन न हो वह समन है। अश्या तीन क़िस्म पर हैं एक वह कि हमेशा समन हो दूसरी वह कि हमेशा मबीअ् हो तीसरी वह कि कभी समन हो कभी मबीअ्, जो हमेशा समन है वह रूपया और अशर्फ़ी है उनके मक़ाबिल में कोई चीज़ भी हो उनको बेचना कहा जाये या उनसे बेचना कहा जाये हर हाल में यही समन हैं, पैसे भी समन हैं कि मुअय्यन करने से मुअय्यन नही होते मगर उनकी स्मनिय्यत बातिल (ख़त्म) हो सकती है जो हमेशा मबीअ् हो वह ऐसी चीज़ है कि ज़वातुल इमसाल (वह चीज़ें जिनके ज़ाइअ् करदेने से तावान में वैसी ही चीज़ देना लाज़िम होता है) से न हो यानी ज़वातुल क़य्यिम (वह चीज़ें जिनके ज़ाइअ् करदेने से तावान में उनकी क़ीमत देना लाज़िम होती है) से हो और अ़ददी मुतफ़ावत (जो चीज़ें गिन्ती से बिकती हैं और उनमें छोटे बड़े होने से कीमत में फ़र्क होता है) कि यह हमेशा मबीअ् होंगी मगर कपड़े के थान का वस्फ़ बयान कर दिया जाये और उसके लिये कोई मीआ़द मुक़र्रर कर दी जाये तो समन बन सकता है उसके बदले में ग़ुलाम वग़ैरा कोई मुअय्यन चीज़ ख़रीद सकते हैं, तीसरी क़िस्म कि कभी समन और कभी मबीअ् हो वह मकील (नाप की चीज़) व मौज़ूँ (जो चीज़ तौल कर बिकती है) और अ़ददी मुतक़ारिब (जो चीज़ गिन्ती से बिकती है और उसके अफ़राद की क़ीमतों में तफ़ावुत नहीं होता) इन चीज़ों को अगर समन के मक़ाबिल में ज़िक्र किया तो मबीअ् हैं और अगर उनके मकाबिल में उन्हीं जैसी चीज़ें हैं यानी मकील व मोज़ूँ व अ़ददी मुतक़ारिब तो अगर दोनों जानिब की चीज़ें मुअय्यन हों बैअ् जाइज़ है और दोनों चीज़ें मबीअ् क़रार पायेंगी और अगर एक जानिब मुअय्यन हो और दूसरी जानिब ग़ैर मुअय्यन मगर उस ग़ैर मुअय्यन का वस्फ़ बयान कर दिया है कि इस क़िस्म की होगी इस सूरत में अगर मुअय्यन को मबीअ् और ग़ैर मुअय्यन को समन क़रार दिया है तो बैअ् जाइज़ है और ग़ैर मुअय्यन को तफ़र्रूक़ से पहले क़ब्ज़ा करना ज़रूरी है और अगर ग़ैर मुअय्यन को मबीअ् और मुअय्यन को समन बनाया तो बैअ् ना'जाइज़ होगी इस सूरत में मबीअ् और समन बनाने का यह मतलब है कि जिसको बेचना कहा वह मबीअ् है और जिससे बेचना कहा वह समन है, और दोनों ग़ैर मुअय्यन हों तो बैअ् नाजाइज़ होगी(आ़लमगीरी)

मसअ्ला.34:– मबीअ् अगर मनक़ूलात (चलने फिरने वाली चीज़) की क़िस्म से है तो बाइअ् का उस पर क़ब्ज़ा होना जरूर है क़ब्ज़ा से पहले चीज़ बेची बैअ् ना'जाइज़ है। (हिदाया वग़ैरा)

मसअ्ला.35:– मबीअ् और स्मन की मिक़दार मा़लूम होना ज़रूर है और स्मन का वस्फ़ भी मा़लूम होना ज़रूर है हाँ अगर समन की त़रफ़ इशारा कर दिया जाये मसलन उस रूपये के बदले में ख़रीदा तो न मिक़दार के ज़िक्र की ज़रूरत है न वस्फ़ के अलबत्ता अगर वह माल रिबवी (बढ़ने वाला) है और मुक़ाबला जिन्स के साथ हो मसलन गेहूँ की इस ढेरी को बदले में उस ढेरी के बेचा तो अगरचे यहाँ मबीअ् व समन दोनों की त़रफ़ इशारा किया जा रहा है मगर फिर भी मिक़दार का मा़लूम होना ज़रूर है क्योंकि अगर दोनों मिक़दारें बराबर न हों तो सूद होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.36:– बैअ् में कभी स्मन हा़ल होता है यानी फ़ौरन देना और कभी मोअज्जिल यानी उसकी अदा के लिये कोई मीआ़द मुअय्यन ज़िक्र कर दी जाये क्योंकि मीआ़द मुअय्यन न होगी तो झगड़ा होगा। अस़्ल यह है कि समन हा़ल हो लिहाज़ा अ़क्द में उस क़हने की जरूरत नहीं कि समन हाल है बल्कि अ़क्द में समन के मुतअ़ल्लिक़ कुछ न कहा जब भी फ़ौरन देना वाजिब होगा और समन मोअज्जल के लिये यह ज़रूर है कि अ़क्द ही में मोअज्जल होना ज़िक्र किया जाये।

मसअ्ला.37:– मीआ़द के मुतअ़ल्लिक़ इख़्तिलाफ़ हुआ बाइअ् कहता है मीआ़द थी ही नहीं और मुश्तरी मीआ़द होना बताता है तो गवाह मुश्तरी के मोअ़तबर हैं और क़ौल बाइअ् का मोअ़तबर है

और अगर मिक़दारे मीआ़द में इख़्तिलाफ़ हुआ एक कम बताता है और एक ज़्यादा तो उसकी बात मानी जायेगी जो कम बताता है और गवाह यहाँ भी मुश्तरी के मोअ़्तबर हैं। और अगर एक कहता है मीआ़द गुज़र चुकी है और एक बताता है बाक़ी है तो क़ौल भी मुश्तरी ही का मोअ़्तबर है और दोनों गवाह पेश करें तो गवाह भी उसी के मोअ़्तबर हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.38:– मदयून (मक़रूज़) के मरने से मीआ़द बातिल होजाती है और दाइन के मरने से बातिल नहीं होती क्यों कि मीआ़द का फ़ायदा यह होता है कि तिजारत वग़ैरा करके उस ज़माने में दैन की मिक़दार फ़राहम करेगा और अदा करदेगा और जब वह ख़ुद ही न रहा मीआ़द होना फ़ुज़ूल है, बल्कि जो कुछ तर्का है वह दैन अदा करने के लिये मुतअ़य्यन है, लिहाज़ा बैअ़् मोअज्जिल में बाइअ़् के मरने से अजल बातिल न होगी।

मसअ्ला.39:– अक़्दे बैअ़् में समन अदा करने की कोई मीआ़द मज़कूर न थी यानी बैअ़् हाल थी बादे अ़क़्द बाइअ़् ने मुश्तरी को अदाए समन के लिये एक मीआ़दे मालूम मुक़र्रर करदी मसलन पन्द्रह दिन या एक महीना या ऐसी मीआ़द मुक़र्रर की जिस में थोड़ीसी जिहालत है मसलन जब खेत कटेगा उस वक़्त समन अदा करना तो अब समन मोअज्जिल होगया कि जब तक मीआ़द पूरी न हो बाइअ़् को समन के मुतालबे का हक़ नहीं और अगर ऐसी मीआ़द मुक़र्रर की हो जिसमें बहुत ज़्यादा जिहालत हो (यानी मुक़र्रर कर्दा मुद्दत का वक़्त ख़ास मालूम न हो) मसलन जब आंधी चलेगी उस वक़्त समन अदा करना तो यह मीआ़द बातिल है समन अब भी ग़ैर मीआ़दी है। (दुर्रेमुख़्तार, हिदाया)

मसअ्ला.40:– मबीअ़् का दाम एक हज़ार मुश्तरी पर है बाइअ़् ने कहदिया कि हर महीने में सौ रूपये देदिया करना तो उसकी वजह से दैन मोअज्जल न होगा (यानी दैन मीआ़दी न होगा) किसी पर हज़ार रूपया दैन है और दाइन ने अदा के लिये क़िस्तें मुक़र्रर करदी हैं और यह भी शर्त करदी है कि एक क़िस्त भी वक़्त पर वसूल न हुई तो बाक़ी कुल दैन हाल होजायेगा यानी फ़ौरन वसूल किया जायेगा इस क़िस्म की शर्त सहीह है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.41:– मीआ़द उस वक़्त से शुरूअ़् की जायेगी जब कि बाइअ़् ने मबीअ़् को मुश्तरी को देदी और अगर मसलन एक साल की मीआ़द थी मगर साल गुज़र गया और अभी तक मबीअ़् ही नहीं दी है तो देने के बाद एक साल की मीआ़द मिलेगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मुख़्तलिफ़ क़िस्म के सिक्के चलते हों उसकी सूरतें

मसअ्ला.42:– किसी जगह मुख़्तलिफ़ क़िस्म के रूपये चलते हों और आ़क़िद (ख़रीद व फ़रोख़्त करने वाले) ने मुतलक़ रूपया कहा तो वह रूपया मुराद लिया जायेगा जो बेशतर उस शहर में चलता है यानी जिसका रिवाज ज़्यादा है चाहें उन सिक्कों की मालियत मुख़्तलिफ़ हो या एक हो और अगर एक ही क़िस्म का रूपया चलता है जब तो ज़ाहिर है कि वही मुतअ़य्यन है और अगर चलन यकसाँ है किसी का कम और किसी का ज़्यादा नहीं और मालियत बराबर हो तो बैअ़् सहीह है और मुश्तरी को इख़्तियार है कि जो चाहे देदे मसलन एक रूपया की कोई चीज़ ख़रीदी तो एक रूपया या दो अठन्नियाँ या चार चवन्नियाँ या आठ दुवन्नियाँ जो चाहे देदे और मालियत में इख़्तिलाफ़ है जैसे हैदराबादी रूपये और चेहरादार कि दोनों की मालियत में इख़्तिलाफ़ रहता है अगर किसी जगह दोनों का यकसाँ चलन हो बैअ़् फ़ासिद होजायेगी। (दुर्रेमुख़्तार, हिदाया, फ़तह)

मसअ्ला.43:– अगर सिक्के मुख़्तलिफ़ मालियत के हों और चलन यकसां है और मुतलक़ रूपये अ़क़्द में बोला मगर मज्लिस अभी बाक़ी है कि एक ने मुतअ़य्यन कर दिया कि फ़ुलां रूपया और दूसरे ने मन्ज़ूर कर लिया तो अ़क़्द सहीह है। (फ़तहुल क़दीर)

माप और तौल और तख़्मीना से बैअ़्

मसअ्ला.44:– गेहूँ और जौ और हर क़िस्म के ग़ल्ले की बैअ़् तौल से भी हो सकती है और नाप के साथ भी मसलन एक रूपये का इतना साअ़् और अटकल और तख़्मीना से भी ख़रीदे जा सकते

हैं मसलन यह ढेरी एक रूपये को अगरचे यह मालूम नही कि इस ढेरी में कितने सेर हैं मगर तख़्मीना से उसी वक़्त ख़रीदे जा सकते हैं जबकि ग़ैर जिन्स के साथ बैअ् हो मसलन रूपये से या गेहूँ को जौ से या किसी और दूसरे ग़ल्ले से और अगर उसी जिन्स से बैअ् करें मसलन गेहूँ को गेहूँ से ख़रीदें तो तख़्मीना से बैअ् नहीं हो सकती क्योंकि अगर कम व बेश हो तो सूद होगा। (हिदाया)

मसअ्ला.45:– जिन्स को जिन्स के साथ तख़्मीनन बैअ् (अन्दाज़े से बैअ) किया अगर उसी मज्लिस में मालूम होगया कि दोनों बराबर हैं तो बैअ् जाइज़ होगई, यूँही दोनों में कमी व बेशी का एहतिमाल (शक) नहीं कि इसकी मिक़दार क्या है जब भी बैअ् जाइज़ है। इस सूरत में तख़्मीना का सिर्फ़ इतना मतलब है कि दोनों का वज़न मालूम नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.46:– जिन्स के साथ तख़्मीनन बैअ् की गई मगर निस्फ़ साअ से कम की कमी बेशी है तो बैअ् जाइज़ है कि निस्फ़ साअ् से कम में सूद नहीं होता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.47:– एक बर्तन है जिसकी मिक़दार मालूम नहीं कि इस में कितना ग़ल्ला आता है या पत्थर है मालूम नहीं कि इसका वज़न क्या है उनके साथ बैअ् करना जाइज़ है मसलन इस बर्तन से चार बर्तन गेहूँ एक रूपये में या इस पत्थर से फ़ुलां चीज़ एक रूपये की इतनी मरतबा तौली जायेगी मगर शर्त यह है कि नाप तौल में ज्यादा ज़माना गुज़रने न दें क्योंकि ज़्यादा ज़माना गुज़रने में मुम्किन है कि बरतन जाता रहे पत्थर गुम होजाये फिर किस चीज़ से नापें, तोलें, लेंगें और यह बरतन समेटने और फैलाने वाला न हो लकड़ी या लोहे या पत्थर का हो और अगर समेटने और फैलाने वाला हो तो बैअ् जाइज़ नहीं जैसे ज़म्बील, अलबत्ता पानी की मश्क अगरचे समेटने फैलाने वाली चीज़ है मगर उर्फ़ व तआमुल (अमल जारी) उसकी बैअ् पर जारी है यह बैअ् जाइज़ है(हिदाया)

मसअ्ला.48:– ग़ल्ला की एक ढेरी इस तरह बैअ् की कि उसमें का हर एक साअ् एक रूपये को तो सिर्फ़ एक साअ् की बैअ् दुरुस्त होगी और उसमें भी मुश्तरी को इख़्तेयार होगा कि ले या न ले हाँ अगर उसी मज्लिस में सारी ढेरी नाप दी या बाइअ् ने ज़ाहिर कर दिया और बता दिया कि इस ढेरी में इतने साअ् हैं तो पूरी ढेरी की बैअ् दुरूस्त होजायेगी और अगर अक़्द से पहले या अक़्द में साअ् की तअ्दाद बतादी है तो मुश्तरी को इख़्तेयार नहीं और बाद में ज़ाहिर की है तो है यह क़ौल इमामे आज़म रदियल्लाहु अुन्ह का है और साहिबैन का क़ौल यह है कि मज्लिस के बाद भी अगर साअ् की तअ्दाद मालूम होगई बैअ् सहीह है और इसी क़ौले साहिबैन पर आसानी के लिये फ़तवा दिया जाता है। (हिदाया,दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.49:– बकरियों का गल्ला (रेवड़) ख़रीदा कि इस में की हर बकरी एक रूपये को या कपड़े का थान ख़रीदा कि हर एक गज़ एक रूपये को या इसी तरह कोई और अददी मुतफ़ावुत (अदद वाली चीज़) ख़रीदा और मालूम नहीं कि ग़ल्ले में कितनी बकरियाँ हैं और थान में कितने गज़ कपड़ा है मगर बाद में मालूम होगया तो साहिबैन के नज़्दीक बैअ् जाइज़ है और इसी पर फ़तवा है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.50:– ग़ल्ला की ढेरी ख़रीदी कि मसलन यह सौ मन है और उसकी क़ीमत सौ रूपया बाद में उसे तौला अगर पूरा सौ मन है जब तो बिलकुल ठीक है और अगर सौ मन से ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है बाइअ् का है और अगर सौ मन से कम है मो मुश्तरी को इख़्तेयार है कि जितना कम है उस की क़ीमत कम करके बाक़ी लेले या कुछ न ले, यही हुक्म हर उस चीज़ का है जो माप और तौल से बिकती है अलबत्ता अगर वह उस क़िस्म की चीज़ हो कि उसके टुकड़े करने में नुक़सान होता हो और जो वज़न बताया है उससे ज़्यादा निकली तो कुल मुश्तरी ही को मिलेगी और उस ज़्यादती के मक़ाबिल में मुश्तरी को कुछ देना नहीं पड़ेगा कि वज़न ऐसी चीज़ों में वस्फ़ होता है और वस्फ़ के मक़ाबिल में समन का हिस्सा नहीं होता मसलन एक मोती या याक़ूत ख़रीदा कि यह एक माशा है और निकला एक माशा से कुछ ज़्यादा तो जो समन मुक़र्रर हुआ है वह देकर मुश्तरी लेले। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.51:– थान ख़रीदा कि मसलन यह दस गज़ है और उसकी क़ीमत दस रूपया है अगर यह थान उससे कम निकला जितना बाइअ् ने बताया है तो मुश्तरी को इख़्तेयार है कि पूरे दाम में ले या बिल्कुल न ले यह नहीं हो सकता कि जितना कम है उसकी क़ीमत कम करदी जाये और अगर थान उससे ज़्यादा निकला जितना बताया है तो यह ज़्यादती बिला क़ीमत मुश्तरी की है बाइअ् को कुछ इख़्तेयार नहीं न वह ज़्यादती ले सकता है न उस की क़ीमत ले सकता है न बैअ् को फस्ख़ कर सकता है यूँही अगर ज़मीन ख़रीदी कि यह सौ गज़ है और उसकी क़ीमत सौ रूपये है और कम या ज़्यादा निकली तो बैअ् सहीह है और सौ ही रूपये देने होंगे मगर कमी की सूरत में मुश्तरी को इख़्तेयार हासिल है कि ले या छोड़ दे। (हिदाया वग़ैरा)

मसअ्ला.52:– यह कहकर थान ख़रीदा कि दस गज़ का है दस रूपये में और कह दिया कि फ़ी गज़ एक रूपये अब निकला कम तो जितना कम है उसकी क़ीमत कम करदे और मुश्तरी को यह इख़्तेयार है कि न ले और अगर ज़्यादा निकला मसलन ग्यारह या बारह गज़ है तो उस ज़्यादा का रूपया यह दे या बैअ् को फ़स्ख़ करदे। (हिदाया वग़ैरा) यह हुक्म उस थान का है जो पूरा एक तरह का नहीं होता जैसे चिकन, गुलबदन, और अगर एक तरह का हो तो यह भी हो सकता है कि बाइअ् उस ज़्यादती को फ़ाड़कर दस गज़ मुश्तरी को देदे।

मसअ्ला.53:– किसी मकान या हम्माम के सौ गज़ में से दस गज़ ख़रीदे तो बैअ् फ़ासिद और अगर यूँ कहता है कि सौ सिहाम (हिस्से) में से दस सिहाम ख़रीदे तो बैअ् सहीह होती और पहली सूरत में अगर उसी मज्लिस में वह दस गज़ ज़मीन मुअ़य्यन करदी जाये कि मसलन यह दस गज़ तो बैअ् सहीह हो जायेगी। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.54:– कपड़े की एक गठरी ख़रीदी इस शर्त पर कि इस में दस थान हैं मगर निकले नौ थान या ग्यारह तो बैअ् फ़ासिद होगई कि कमी की सूरत में समन मजहूल है और ज़्यादती की सूरत में मबीअ् मजहूल है और अगर हर एक थान का समन बयान कर दिया था तो कमी की सूरत में बैअ् जाइज़ होगी कि नौ थान की क़ीमत देकर लेले मगर मुश्तरी को इख़्तेयार होगा कि बैअ् को फ़स्ख़ करदे और अगर ग्यारह थान निकले तो बैअ् ना'जाइज़ है कि मबीअ् मजहूल है उन में से एक थान कौनसा कम किया जायेगा। (हिदाया)

मसअ्ला.55:– थानों की एक गठरी ख़रीदी और एक ग़ैर मुअ़य्यन थान का इस्तिस्ना (अलग कर दिया) कर दिया या बकरियों का एक रेवड़ ख़रीदा और एक बकरी ग़ैर मुअ़य्यन का इस्तिस्ना किया तो बैअ् फ़ासिद होगई कि मालूम नहीं वह मुस्तसना कौन है और उससे लाज़िम आया कि मबीअ् मजहूल होजाये और अगर मुअ़य्यन थान या बकरी का इस्तिसना होता तो बैअ् जाइज़ होती कि मबीअ् में किसी किस्म की जिहालत पैदा न होती। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.56:– थान ख़रीदा कि दस गज़ है फ़ी गज़ एक रूपया और वह साढ़े दस गज़ निकला तो दस रूपये में लेना पड़ेगा और साढ़े नौ गज़ निकला तो मुश्तरी को इख़्तेयार है कि नौ रूपये में ले या न ले। (हिदाया)

मसअ्ला.57:– एक ज़मीन ख़रीदी कि उसमें इतने फलदार दरख़्त हैं मगर एक दरख़्त ऐसा निकला जिसमें फल नहीं आते तो बैअ् फ़ासिद हुई और अगर ज़मीन ख़रीदी कि इसमें इतने दरख़्त हैं और कम निकले तो बैअ जाइज़ है मगर मुश्तरी को इख़्तेयार है कि चाहे पूरे समन पर लेले और चाहे न ले यूँही अगर मकान ख़रीदा कि उसमें इतने कमरे या कोठरियाँ हैं और कम निकलीं तो बैअ् जाइज़ है मगर मुश्तरी को इख़्तेयार है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

क्या चीज़ बैअ् में तब्अन दाख़िल होती है और क्या चीज़ नहीं

मसअ्ला.58:– कोई मकान ख़रीदा तो जितने कमरे, कोठरियाँ हैं सब बैअ् में दाख़िल हैं यूँही जो चीज़ मबीअ् के साथ मुत्तसिल (मिली हुई, शामिल) हो और उसका इत्तिसाल (मिलना) इत्तिसाले क़रार

हो यानी उसकी वज्अ़ इसलिए नहीं है कि जुदा करली जायेगी तो यह भी मबीअ़ में दाख़िल होगी मसलन मकान का ज़ीना या लकड़ी का ज़ीना जो मकान के साथ मुत्तसिल हो किवाड़ और चौखट और कुन्डी और वह क़ुफ़्ल जो किवाड़ में मुत्तसिल (मिला हुआ) होता है और उसकी कुन्जी। दुकान के सामने जो तख़्ते लगे होते हैं यह सब बैअ़ में दाख़िल हैं और वह क़ुफ़्ल जो किवाड़ से मुत्तसिल नहीं बल्कि अलग रहता है जैसे आम तौर पर ताले होते हैं यह बैअ़ में दाख़िल नहीं बल्कि यह बाइअ़ ले लेगा। (दुर्रेमुख़्तार, फ़तहुल'क़दीर)

मसअ्ला.59:– ज़मीन बेच डाली तो उसमें छोटे, बड़े फलदार और बे फल जितने दरख़्त हैं सब बैअ़ में दाख़िल हैं मगर सूखा दरख़्त जो अभी तक ज़मीन से उखड़ा नहीं है वह दाख़िल नहीं है कि यह गोया लकड़ी है जो ज़मीन पर रखी है, लिहाज़ा आम वग़ैरा के पौधे जो ज़मीन में होते हैं कि बरसात में यहाँ से खोदकर दूसरी जगह लगाये जाते हैं यह भी दाख़िल हैं। (फ़तहुल'क़दीर)

मसअ्ला.60:– मकान बेचा तो चक्की बैअ़ में दाख़िल न होगी अगरचे नीचे का पाट ज़मीन में जड़ा हो और डोल, रस्सी भी दाख़िल नहीं और कुँए पर पानी भरने की चर्ख़ी अगर मुत्तसिल हो तो दाख़िल है और अगर रस्सी से बंधी हो या दोनों बाज़ू में हल्क़ा बना है कि पानी भरने के वक़्त चर्ख़ी लगा देते हैं फिर अलग कर देते हैं तो इन दोनों सूरतों में दाख़िल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुख़्तार)

मसअ्ला.61:– हम्माम बेचा तो पानी गर्म करने की देग जो ज़मीन से मुत्तसिल है या इतनी बड़ी या भारी है जो इधर, उधर मुन्तक़िल नहीं हो सकती बैअ़ में दाख़िल है और छोटी देग जो मुत्तसिल नहीं बैअ़ में दाख़िल नहीं, धोबी की देग जिसमें भट्टी चड़ाता है और रंगरेज़ के मटके वग़ैरा जिस में रंग तैयार करता है यह सब अगर मुत्तसिल हों तो दाख़िल हैं वरना नहीं यूँही धोबी का पाट।

मसअ्ला.62:– गधे वाले से गधा ख़रीदा तो उसका पालान (वह कपड़ा जो गधे की पुश्त पर डाला जाता है) बैअ़ में दाख़िल है और अगर ताजिर से ख़रीदा तो नहीं और उसके गले में हार वग़ैरा पड़ा है तो वह बैअ़ में मुतलक़न दाख़िल है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.63:– गाय या भैंस ख़रीदी तो उसका छोटा बच्चा जो दूध पीता है बैअ़ में दाख़िल है अगरचे ज़िक्र न किया हो और गधी ख़रीदी तो उसका दूध पीता बच्चा बैअ़ में दाख़िल नहीं। (दुर्रेमुख़)

मसअ्ला.64:– लोन्डी, गुलाम बेचे तो जो कपड़े उ़र्फ़ के मुवाफ़िक़ पहने हुए हैं बैअ़ में दाख़िल हैं और अगर उन कपड़ों को देना न चाहे उनके मिस्ल दूसरा कपड़ा दे यह भी हो सकता है और अगर कपड़ा न पहने हों तो बाइअ़ पर सतरे औरत की मिक़दार में कपड़ा देना लाज़िम होगा और लोन्डी ज़ेवर पहने हो तो यह बैअ़ में दाख़िल नहीं हाँ अगर बाइअ़ ने ज़ेवर समेत मुश्तरी को देदी या मुश्तरी ने ज़ेवर के साथ क़ब्ज़ा किया और बाइअ़ चुप रहा कुछ न बोला तो ज़ेवर भी बैअ़ में दाख़िल हो गये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.65:– घोड़ा या ऊँट बेचा तो लगाम और नकेल बैअ़ में दाख़िल है यानी अगरचे बैअ़ में मज़कूर न हो बाइअ़ उनको देने से इनकार नहीं कर सकता और ज़ीन या काठी बैअ़ में दाख़िल नहीं। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.66:– घोड़ी या गधी या गाय, बकरी के साथ बच्चा भी है अगरचे बच्चा को बाज़ार में ले गया है जबकि उसकी माँ को बेचने के लिये ले गया है तो बच्चा भी उ़रफ़न बैअ़ में दाख़िल है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.67:– मछली ख़रीदी और उसके शिकम में मोती निकला अगर यह मोती सीप में है तो मुश्तरी का है और अगर बिग़ैर सीप के ख़ाली मोती है तो बाइअ़ ने अगर उस मछली का शिकार किया है तो उसे वापस करले और बाइअ़ के पास यह मोती बतौरे लुक़ता (गुमी हुई ऐसी कोई चीज़ जो कहीं मिल जाये जिस के मालिक के बारे में मालूम न हो) अमानत रहेगा कि तशहीर करे अगर मालिक का पता न चले ख़ैरात करदे और मुर्ग़ी के पेट में मोती मिला तो बाइअ़ को वापस करे। (ख़निया, आ़लमगीरी)

मसअ्ला.68:– जो चीज़ बैअ़ में तबअ़न दाख़िल हो जाती है उसके मक़ाबिल में समन का कोई हिस्सा नहीं होता यानी वह चीज़ ज़ाइअ़ (ख़त्म) होजाये तो समन में कमी न होगी मुश्तरी को पूरे समन के साथ लेना होगा।

मसअ्ला.69:– ज़मीन बैअ् (बेची) की और उसमें खेती है तो ज़राअत बाइअ् की है अलबत्ता अगर मुश्तरी (ख़रीदार) शर्त करले यानी मअ् ज़राअत के ले तो मुश्तरी की है इसी तरह अगर दरख़्त बेचे जिसमें फल मौजूद हैं तो यह फल बाइअ् के हैं मगर जब मुश्तरी अपने लिये शर्त करले यूँही चम्बेली, गुलाब, जूही वग़ैरा के दरख़्त ख़रीदे तो फल बाइअ् के हैं मगर जब कि मुश्तरी शर्त कर ले। (हिदाया, फ़तहुल'क़दीर)

मसअ्ला.70:– ज़राअत वाली ज़मीन या फल वाला दरख़्त ख़रीदा तो बाइअ् को यह हक़ हासिल नहीं कि जब तक चाहे ज़राअ़त रहने दे या फल न तोड़े बल्कि उससे कहा जायेगा कि ज़राअत काटले और फल तोड़ले और ज़मीन या दरख़्त मुश्तरी को सिपुर्द करदे क्योंकि अब वह मुश्तरी की मिल्क है और दूसरे की मिल्क को मशग़ूल रखने का उसे हक़ नहीं अलबत्ता अगर मुश्तरी ने समन अदा न किया हो तो बाइअ् पर तस्लीमे मबीअ् वाजिब नहीं। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.71:– खेत की ज़मीन बैअ् की जिसमें ज़राअत है और बाइअ् यह चाहता है कि जब तक ज़राअत तैयार न हो खेत ही में रहे तैयार होने पर काटी जाये और इतने ज़माने तक की उजरत देने को कहता है अगर मुश्तरी राज़ी होजाये तो ऐसा भी कर सकता है बिग़ैर रज़ा'मन्दी नहीं कर सकता। (दुर्रेमु०)

मसअ्ला.72:– काटने के लिये दरख़्त ख़रीदा है तो आदतन दरख़्त ख़रीदने वाले जहाँ तक जड़ खोदकर निकाला करते हैं यह भी जड़ खोदकर निकालेगा मगर जब कि बाइअ् ने यह शर्त करदी हो कि ज़मीन के ऊपर से काटना होगा जड़ खोदने की इजाज़त नहीं तो इस सूरत में ज़मीन के ऊपर ही से दरख़्त काट सकता है या शर्त नहीं की है मगर जड़ खोदने में बाइअ् का नुक़सान है मसलन वह दरख़्त दीवार या कुँए के क़ुर्ब में है जड़ खोदने में दीवार गिर जाने या कुआँ मुनहदिम होजाने का अन्देशा है तो इस हालत में भी ज़मीन के ऊपर से ही काट सकता है, फिर अगर उस जड़ में दूसरा दरख़्त पैदा हो तो यह दरख़्त बाइअ् का होगा हाँ अगर दरख़्त का कुछ हिस्सा ज़मीन के ऊपर छोड़ दिया है और उस में शाख़ें निकलीं तो यह शाख़ें मुश्तरी की हैं। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.73:– काटने के लिये दरख़्त ख़रीदा है उसके नीचे की ज़मीन बैअ् में दाख़िल नहीं और बाक़ी रखने के लिये ख़रीदा है तो ज़मीन बैअ् में दाख़िल है और अगर बैअ् के वक़्त यह न ज़ाहिर किया कि काटने के लिये ख़रीदता है न यह कि बाक़ी रखने के लिये ख़रीदता है तो भी नीचे की ज़मीन बैअ् में दाख़िल है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.74:– दरख़्त अगर काटने की ग़र्ज़ से ख़रीदा है तो मुश्तरी को हुक्म दिया जायेगा कि काट लेजाये छोड़ रखने की इजाज़त नहीं और अगर बाक़ी रखने के लिये ख़रीदा है तो काटने का हुक्म नहीं दिया जा सकता और काट भी ले तो उसकी जगह पर दूसरा दरख़्त लगा सकता है बाइअ् को रोकने का हक़ हासिल नहीं क्योंकि ज़मीन का उतना हिस्सा इस सूरत में मुश्तरी का हो चुका है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.75:– जड़ समेत दरख़्त ख़रीदा और उसकी जड़ में से और दरख़्त उगे अगर ऐसा है कि पहला दरख़्त काट लिया जाये तो यह दरख़्त सूख जायेंगे तो यह भी मुश्तरी के हैं कि उसके दरख़्त से उगे हैं वरना बाइअ् के हैं मुश्तरी को उनसे तअ़ल्लुक़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.76:– ज़राअ़त तैयार होने से क़ब्ल बेचदी इस शर्त पर कि जब तक तैयार न होगी खेत में रहेगी या खेत की ज़मीन बेच डाली और उसमें ज़राअ़त मौजूद है और शर्त यह की कि जब तक तैयार न होगी खेत में रहेगी यह दोनों सूरतें ना'जाइज़ हैं। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.77:– ज़मीन बैअ् की तो वह चीज़ें जो ज़मीन में बाक़ी रखने की ग़र्ज़ से हैं जैसे दरख़्त और मकानात यह बैअ् में दाख़िल हैं अगरचे उनको बैअ् में ज़िक्र न किया हो और यह भी न कहा हो कि जमीअ् हुक़ूक़ व मुराफ़िक़ के साथ ख़रीदता हूँ अलबत्ता उस ज़मीन में सूखा हुआ दरख़्त हो तो इस तरह की बैअ् में दाख़िल नहीं और जो चीज़ें बाक़ी रखने के लिये न हों जैसे बांस, नरकुल घास यह बैअ् में दाख़िल नहीं मगर जबकि बैअ् में उनका ज़िक्र कर दिया जाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.78:– छोटासा दरख़्त ख़रीदा था और बाइअ् की इजाज़त से ज़मीन में लगा रहा काटा न

गया अब वह बड़ा होगया तो वह पूरा दरख़्त मुश्तरी का है और बाइअ् अगरचे इजाज़त दे चुका है मगर उसको यह इख़्तेयार है कि मुश्तरी से जब चाहे कह सकता है कि उसे काट लेजाये और अब मुश्तरी को रखना जाइज़ न होगा और अगर बिग़ैर इजाज़ते बाइअ् मुश्तरी ने छोड़ रखा है और अब उसमें फल आगये तो फलों को सदक़ा कर देना वाजिब है। (ख़ानिया)

मसअ्ला.79:– ज़मीन एक शख़्स की है जिसमें दूसरे शख़्स के दरख़्त हैं मालिके ज़मीन ने बा'इजाज़ते मालिक ज़मीन व दरख़्त बेच डाले अब अगर किसी आफ़ते समावी से दरख़्त जाइअ् (बर्बाद) होगये तो मुश्तरी को इख़्तेयार है कि ज़मीन न ले और बैअ् फ़स्ख़ करदी जाये और लेगा तो पूरी क़ीमत जो ज़मीन व दरख़्त दोनों की थी देनी होगी और यह पूरा समन इस सूरत में मालिके ज़मीन ही को मिलेगा मालिके दरख़्त को कुछ न मिलेगा। (आलमगीरी)

फल और बहार की ख़रीदारी

मसअ्ला.80:– बाग़ की बहार फल आने से पहले बेच डाली यह ना'जाइज़ है यूँही अगर कुछ फल आ चुके हैं कुछ बाक़ी हैं जब भी ना'जाइज़ है जब कि मौजूद व ग़ैर मौजूद दोनों की बैअ् मक़सूद हो और अगर सब फल आ चुके हैं तो यह बैअ् दुरुस्त है मगर मुश्तरी को यह हुक्म होगा कि अभी फल तोड़कर दरख़्त ख़ाली करदे और अगर यह शर्त है कि जब तक फल तैयार न होंगें दरख़्त पर रहेंगे तैयार होजाने के बाद तोड़े जायेंगे तो यह शर्त फ़ासिद है और बैअ् ना'जाइज़, और अगर फल आजाने के बाद बैअ् हुई मगर हूनूज़ मुश्तरी का क़ब्ज़ा न हुआ था कि और फल पैदा होगये बैअ् फ़ासिद होगई कि अब मबीअ् व ग़ैरे मबीअ् (बिके और बिग़ैर बिके) में इम्तेयाज़ बाक़ी न रहा और क़ब्ज़ा के बाद दूसरे फल पैदा हुए तो बैअ् पर उसका कोई असर नहीं मगर चूँकि यह जदीद फल बाइअ् (यह नये फल बेचा के) के हैं और इम्तेयाज़ है नहीं लिहाज़ा बाइअ् व मुश्तरी दोनों शरीक हैं रहा यह कि कितने फल बाइअ् के हैं और कितने मुश्तरी के इसमें मुश्तरी ह़ल्फ़ (क़सम) से जो कुछ कहदे उसका क़ौल मोअ्तबर है। (फतहुलक़दीर, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.81:– फल ख़रीदे न यह शर्त की कि अभी तोड़ लेगा और न यह कि पकने तक दरख़्त पर रहेंगे और बादे अक़्द (सौदा होने के बाद) बाइअ् ने दरख़्त पर छोड़ने की इजाज़त देदी तो यह जाइज़ है और अब फलो में जो कुछ ज़्यादती होगी वह मुश्तरी के लिये ह़लाल है बशर्ते दरख़्त पर फल छोड़े रहने का उ़र्फ़ न हो क्योंकि अगर उ़र्फ़ होचुका हो जैसा कि इस ज़माने में उ़मूमन हिन्दुस्तान में यही होता है कि यहाँ शर्त न हो जब भी शर्त ही का हुक्म होगा और बैअ् फ़ासिद होगी अलबत्ता अगर तस़रीह़ करदी जाये कि फ़िलहाल तोड़ लेना होगा और बाद में मुश्तरी के लिये बाइअ् ने इजाज़त देदी तो यह बैअ् फ़ासिद न होगी, और अगर बैअ् में शर्त ज़िक्र न की और बाइअ् ने दरख़्त पर रहने की इजाज़त भी न दी मगर मुश्तरी ने फल नहीं तोड़े तो अगर ब'निस्बत साबिक़ फल बड़े होगये तो जो कुछ ज़्यादती हुई उसे सदक़ा करे यानी बैअ् के दिन फलों की जो क़ीमत थी उस क़ीमत पर आज की क़ीमत में जो कुछ इज़ाफ़ा हुआ वह ख़ैरात करे मसलन उस रोज़ दस रूपये क़ीमत थी और आज उनकी क़ीमत बारह रूपये है तो दो रूपये ख़ैरात करदे और अगर बैअ् ही के दिन फल अपनी पूरी मिक़दार को पहुँच चुके थे उनकी मिक़दार उस ज़माने में नहीं बढ़ी सिर्फ़ इतना हुआ कि उस वक़्त पके हुए न थे अब पक गये तो इस सूरत में सदक़ा करने की ज़रूरत नहीं अलबत्ता इतने दिनों बिग़ैर इजाज़त उसके दरख़्त पर छोड़े रहने का गुनाह हुआ(दुर्रेमुख़्तार)

फल और बहार की ख़रीदारी

मसअ्ला.82:– फल ख़रीदे और यह ख़्याल है कि बैअ् के बाद और फल पैदा हो जायेंगे या दरख़्त पर फल रहने में फलों में ज़्यादती होगी जो बिग़ैर इजाज़ते बाइअ् ना'जाइज़ होगी और चाहता है कि किसी सूरत से जाइज़ हो जाये तो उसका यह ह़ीला हो सकता है कि मुश्तरी समन अदा करने के बाद बाइअ् से बाग़ या दरख़्त बटाई पर लेले अगरचे बाइअ् का ह़िस्सा बहुत क़लील क़रार दे

मसलन जो कुछ उसमें होगा उसमें नौ सौ निन्नानवे हिस्से मुश्तरी के और एक हिस्सा बाइअ् का तो अब जो नये फल पैदा होंगे या जो कुछ ज़्यादती होगी बाइअ् का है वह हज़ारवां हिस्सा देकर मुश्तरी के लिये जाइज़ होजायेगी मगर यह हीला उसी वक़्त हो सकता है कि दरख़्त या बाग़ किसी यतीम का न हो न वक़्फ़ हो और अगर बैंगन, मिर्चें, ककड़ी वग़ैरह खरीदे हों और उनके दरख़्तों या बेलों में आये दिन नये फल पैदा होंगे मुश्तरी के होंगे और ज़राअत पकने के क़ब्ल ख़रीदी है तो यह करे कि जितने दिनों में वह तैयार होगी उसकी मुद्दत मुक़र्रर करके ज़मीन इजारा(किराये)पर लेले(दुर्रेमुख़्तार)

बैअ् में इस्तिस्ना हो सकता है या नहीं

मसअ्ला.83:– जिस चीज़ पर मुस्तक़िलन अक़्द वारिद हो सकता है (यानी तन्हा या बेची जासकती है) उसका अक़्द से इस्तिसना (अलग कर देना) सहीह है और अगर वह चीज़ ऐसी है कि तन्हा उस पर अक़्द वारिद न हो तो इस्तिसना सहीह नहीं यह एक क़ायदा है उसकी मिसाल सुनिये। ग़ल्ले की एक ढेरी है उसमें से दस सेर या कम व बेश ख़रीद सकते हैं इसी तरह एलावा दस सेर के पूरी ढेरी भी ख़रीद सकते हैं, बकरियों के रेवड़ में से एक बकरी ख़रीद सकते हैं इसी तरह एक मुअय्यन बकरी को मुस्तसना (ख़ास) करके सारा रेवड़ भी ख़रीद सकते हैं और ग़ैर मुअय्यन बकरी को न ख़रीद सकते हैं न उसका इस्तिसना कर सकते हैं, दरख़्त पर फल लगे हों उनमें का एक महदूद हिस्सा ख़रीद सकते हैं इसी तरह उस हिस्से का इस्तिसना भी हो सकता है मगर यह ज़रूर है कि जिसका इस्तिस्ना किया जाये वह इतना न हो कि उसके निकालने के बाद मबीअ् ही ख़त्म होजाये यानी यह यक़ीनन मालूम हो कि इस्तिस्ना के बाद मबीअ् बाक़ी रहेगी और अगर शुब्हा हो तो दुरुस्त नहीं, बाग़ ख़रीदा उसमें से एक मुअय्यन दरख़्त का इस्तिसना किया सहीह है, बकरी को बेचा और उसके पेट में जो बच्चा है उसका इस्तिस्ना (बेचने से अलग किया) किया यह सहीह नहीं कि उसको तन्हा ख़रीद नहीं सकते, जानवर के सिरी पाये दुंबा की चक्की का इस्तिसना नहीं किया जा सकता, न उनको तन्हा ख़रीदा जा सकता यानी जानवर के जुज़ ए मुअय्यन का इस्तिसना नहीं हो सकता और इस्तिसना किया तो बैअ् फ़ासिद है और जुज़्वे शाइअ् मसलन निस्फ़ या चौथाई को ख़रीद भी सकते हैं और उसका इस्तिसना भी कर सकते हैं और इस तक़दीर पर वह जानवर दोनों में मुश्तरक होगा। (आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.84:– मकान तोड़ने के लिये ख़रीदा तो उसकी लकड़ी या ईंटों का इस्तिसना सहीह है।

मसअ्ला.85:– कनीज़ की किसी शख़्स के लिये वसिय्यत की और उसके पेट में जो बच्चा है उसका इस्तिसना किया या पेट में जो बच्चा है उसकी वसिय्यत की और लोन्डी का इस्तिसना किया यह इस्तिसना सहीह है, लोन्डी को बैअ् किया या उसको मुकातबा किया या उजरत पर दिया या मालिक पर दैन था दैन के बदले में लोन्डी देदी और इस सब सूरतों में उसके पेट में जो बच्चा है उसका इस्तिसना किया तो यह सब उक़ूदे फ़ासिद होगये और अगर लोन्डी को हिबा किया या सदक़ा किया और क़ब्ज़ा दिला दिया या उसको महर में दिया या क़त्ले अमद (जान कर क़त्ल) किया था लोन्डी देकर सुलह करली या उसके बदले में खुलअ् किया या आज़ाद किया और इन सब सूरतों में पेट के बच्चे का इस्तिस्ना किया तो यह सब अक़्द जाइज़ है और इस्तिस्ना बातिल, जानवर के पेट में बच्चा है उसका इस्तिस्ना किया जब भी यही अहकाम हैं। (आलमगीरी)

नापने, तोलने वाले और परखने वाले की उजरत किसके ज़िम्मे है

मसअ्ला.86:– मबीअ् (बेचने का माल) के नाप या तौल या गिन्ती की उजरत देनी पड़े तो वह बाइअ् के ज़िम्मे होगी कि नापना, तौलना गिनना उसका काम है कि मबीअ् की तस्लीम इसी तरह होती है कि नाप तोलकर मुश्तरी को देते हैं और समन के तोलने या गिनने या परखने की उजरत देनी पड़े तो यह मुश्तरी के ज़िम्मे है कि पूरा समन और खरे दाम देना उसी का काम है हाँ अगर बाइअ् ने बिग़ैर परखे हुए समन पर क़ब्ज़ा कर लिया और कहता है कि रूपये अच्छे नहीं हैं वापस करना

चाहता है तो बिगैर परखे कैसे कहा जा सकता है कि खोटे हैं वापस किये जायें इस सूरत में परखने की उजरत बाइअ् को देनी होगी दैन के रूपये परखने की उजरत मदयून (जिस पर क़र्ज़ हो) के ज़िम्मे है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.87:– दरख़्त के कुल फल एक समन मुअ़य्यन के साथ तख़मीनन (अन्दाज़े से) ख़रीद लिये यूंही खेत में के लहसुन, प्याज़ तख़्मीने से ख़रीदे या कश्ती में का सारा ग़ल्ला तख़्मीने से ख़रीदा तो फल तोड़ने, लहसुन प्याज़ निकलवाने या कश्ती से मबीअ् बाहर लाने की उजरत मुश्तरी के ज़िम्मे है यानी जबकि मुश्तरी को बाइअ् ने कह दिया कि तुम फल तोड़ लेजाओ और यह चीज़ें निकलवालो। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.88:– दलाल (माल कमीशन पर बेचने वाला) की उजरत यानी दलाली बाइअ् के ज़िम्मे है जब कि उसने सामान मालिक की इजाज़त से बैअ् किया हो और अगर दलाल ने तरफ़ैन में बैअ् की कोशिश की हो और बैअ् उसने न की हो बल्कि मालिक ने की हो तो जैसा वहाँ का उर्फ़ हो यानी इस सूरत में भी अगर उरफ़न बाइअ् के ज़िम्मे दलाली हो तो बाइअ् दे और मुश्तरी के ज़िम्मे हो तो मुश्तरी दे और दोनों के ज़िम्मे हो तो दोनों दें। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मबीअ् व समन पर क़ब्ज़ा करना

मसअ्ला.89:– बैअ् रूपया अशरफी पैसा से हुई और मबीअ् वहाँ हाज़िर है और समन फ़ौरन देना हो और मुश्तरी को ख़्यारे शर्त न हो तो मुश्तरी को पहले समन अदा करना होगा उसके बाद मबीअ् पर क़ब्जा कर सकता है यानी बाइअ् को यह हक़ होगा कि समन वसूल करने के लिये मबीअ् को रोकले और उस पर क़ब्ज़ा न दिलाये बल्कि जब तक पूरा समन वुसूल न किया हो मबीअ् को रोक सकता है और अगर मबीअ् ग़ायब हो तो बाइअ् जब तक मबीअ् को हाज़िर न कर दे समन का मुतालबा नहीं कर सकता, और अगर बैअ् में दोनों जानिब सामान हो मसलन किताब को कपड़े के बदले में ख़रीदा या दोनों तरफ़ समन हों मसलन रूपया या अशरफी से सोना चांदी ख़रीदा तो दोनों को उसी मज्लिस में एक साथ अदा करना होगा। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.90:– मुश्तरी ने अभी मबीअ् पर क़ब्ज़ा नहीं किया है कि वह मबीअ् बाइअ् के फ़ेल (कुछ करने) से हलाक होगई या उस मबीअ् ने खुद अपने को हलाक कर दिया या आफ़ते समावी (प्राकृतिक आपदा) से हलाक होगई तो बैअ् बातिल होगई बाइअ् नें समन पर क़ब्ज़ा कर लिया है तो वापस करे और अगर मुश्तरी के फ़ेअ्ल से हलाक हुई और बैअ् मुतलक़ हो या मुश्तरी के लिये शर्ते ख़्यार हो तो मुश्तरी पर समन देना वाजिब है और अगर इस सूरत में बाइअ् के लिये शर्ते ख़्यार हो या बैअ् फ़ासिद हो तो मुश्तरी के ज़िम्मे समन नहीं बल्कि तावान है यानी अगर वह चीज़ मिस्ली है तो उसकी मिस्ल दे और क़ीमती है तो क़ीमत दे और अगर किसी अजनबी ने हलाक करदी तो मुश्तरी को इख़्तेयार है चाहे बैअ् को फ़स्ख़ करदे और इस सूरत में हलाक करने वाला बाइअ् को तावान दे और मुश्तरी चाहे तो बैअ् को बाक़ी रखे और बाइअ् को समन अदा करे और हलाक करने वाले से तावान ले और वह तावान अगर जिन्से समन से न हो तो अगरचे समन से ज़्यादा भी हो हलाल है और जिन्से समन से हो तो ज़्यादती हलाल नहीं मसलन समन दस रूपये है और तावान पन्द्रह रूपये लिया तो यह पाँच ना जाइज़ हैं और अशर्फी तावान में ली तो जाइज़ है अगरचे यह पन्द्रह रूपये या ज़्यादा की हो। (फ़तह)

मसअ्ला.91:– दो चीज़ें एक अ़क़्द में बैअ् की हैं अगर हर एक का समन अलग–अलग बयान कर दिया मसलन दो घोड़े एक साथ मिलाकर बेचे एक का समन पाँच सौ और दूसरे का चार सौ जब भी बाइअ् को हक़ है कि जब तक पूरा समन वसूल न करले मबीअ् पर क़ब्ज़ा न दिलाये मुश्तरी यह नहीं कर सकता कि दोनों में से एक का समन अदा करके उसके क़ब्जा का मुतालबा करे और अगर मुश्तरी ने बाइअ् के पास कोई चीज़ रेहन रखदी या ज़ामिन पेश कर दिया जब भी मबीअ् को

रोकने का हक़ बाइअ् के लिये बाक़ी है और अगर बाइअ् ने समन का कुछ हिस्सा मुआफ़ कर दिया है तो जो कुछ बाक़ी है उसे जब तक वुसूल न करले मबीअ् को रोक सकता है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.92:– बैअ् के बाद बाइअ् ने अदाए समन के लिये कोई मुद्दत मुक़र्रर करदी अब मबीअ् के रोकने का हक़ न रहा या बिग़ैर वसूली समन मबीअ् पर क़ब्ज़ा दिलाया तो अब मबीअ् को वापस नहीं ले सकता और अगर बिला इजाज़ते बाइअ् मुश्तरी ने क़ब्जा कर लिया तो वापस ले सकता है और मुश्तरी ने बिला इजाज़त क़ब्ज़ा किया मगर बाइअ् ने क़ब्ज़ा करते देखा और मना न किया तो इजाज़त होगई और अब वापस नहीं ले सकता। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.93:– मुश्तरी ने कोई ऐसा तसर्रुफ़ (मुआमला) किया जिसके लिये क़ब्ज़ा ज़रूरी नहीं है वह ना'जाइज़ है और ऐसा तसर्रुफ़ किया जिसके लिये कब्ज़ा ज़रूर है वह जाइज़ है। मसलन मुश्तरी ने मबीअ् को हिबा (तोहफ़े में दिया) किया और मौहूब लहू (जिस को दिया) ने क़ब्ज़ा कर लिया तो उसका क़ब्ज़ा क़ब्ज़ा–ए–मुश्तरी के क़ायम मक़ाम है और मबीअ् को बैअ् कर दिया यह ना'जाइज़ है(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.94:– मुश्तरी ने मबीअ् किसी के पास अमानत रखदी या आ़रियत (उधार) देदी या बाइअ् से कह दिया कि फ़ुलाँ को सिपुर्द करदे उसने सिपुर्द करदी इन सब सूरतों में मुश्तरी का क़ब्ज़ा होगया और अगर खुद बाइअ् के पास अमानत रखी या आ़रियत देदी या किराये पर देदी या बाइअ् को कुछ समन दे दिया और कह दिया कि बाक़ी समन के मुक़ाबले में मबीअ् को तेरे पास रेहन रखा तो इन सब सूरतों में क़ब्ज़ा न हुआ। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.95:– ग़ल्ला ख़रीदा और मुश्तरी ने अपनी बोरी बाइअ् को देदी और कह दिया कि इसमें नाप या तोलकर भरदे तो ऐसा कर देने से मुश्तरी का क़ब्ज़ा होगया बाइअ् ने मुश्तरी के सामने उस में भरा हो या ग़ीबत (ग़ैर मौजूदगी) में दोनों सूरतों में क़ब्जा होगया और अगर मुश्तरी ने अपनी बोरी नहीं दी बल्कि बाइअ् से कहा कि तुम अपनी बोरी आ़रियत मुझे दो और उसमें नाप या तोलकर भर दो तो अगर मुश्तरी के सामने भर दिया क़ब्ज़ा होगया वरना नहीं, यूंही तेल ख़रीदा और अपनी बोतल या बरतन देकर कहा कि इसमें तोल दे उसने तोलकर डाल दिया क़ब्ज़ा होगया, यही हुक्म नाप और तोल की हर चीज़ का है कि मुश्तरी के बर्तन में जब उसके हुक्म से रखदी जायेगी क़ब्जा हो जायेगा। (हिदाया वग़ैरह)

मसअ्ला.96:– बाइअ् ने मबीअ् और मुश्तरी के दरम्यान तख़लिया कर दिया कि अगर वह क़ब्ज़ा करना चाहे कर सके और क़ब्ज़ा से कोई चीज़ मानेअ् न हो और मबीअ् व मुश्तरी के दरम्यान कोई शय हाइल भी न हो तो मबीअ् पर क़ब्ज़ा होगया इसी तरह मुश्तरी ने अगर समन व बाइअ् में तख़लिया कर दिया तो बाइअ् को सलम की तस्लीम कर दी। (दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.97:– अगर तख़लिया कर दिया मगर क़ब्ज़ा से कोई शय मानेअ् है मसलन मबीअ् दूसरे के हक़ में मशग़ूल है जैसे मकान बेचा और उसमें बाइअ् का सामान मौजूद है अगरचे क़लील हो या ज़मीन बैअ् की और उसमें बाइअ् की ज़राअ़त है तो इन सूरतों में मुश्तरी का क़ब्ज़ा नहीं हुआ हाँ बाइअ् ने मकान व सामान दोनों पर क़ब्ज़ा करने को कह दिया और उसने कर लिया तो क़ब्ज़ा हो गया और इस सूरत में सामान मुश्तरी के पास अमानत होगा और अगर खुद मबीअ् ने दूसरी चीज़ को मशग़ूल रखा हो मसलन ग़ल्ला खरीदा जो बाइअ् की बोरियों में है या फल खरीदा जो दरख़्त में लगे हैं तो तख़लिया कर देने से कब्ज़ा हो जायेगा। (आ़लमगीरी, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.98:– मकान ख़रीदा जो किसी के किराये में है और मुश्तरी राज़ी होगया कि जब तक इजारा (किराये) की मुद्दत पूरी न हो अ़क़्द फ़स्ख़ न किया जायेगा जब इजारा की मुद्दत पूरी होगी उस वक़्त क़ब्ज़ा करेगा तो अब मुश्तरी क़ब्ज़ा का मुतालबा नहीं कर सकता जब तक इजारा की मीआ़द बाक़ी है और बाइअ् भी मुश्तरी से समन का मुतालबा नहीं कर सकता जब तक मकान को क़ाबिले क़ब्ज़ा न करदे। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.99:– सिर्का या अर्क़ वग़ैरा ख़रीदा और बाइअ् ने तख़लिया करदिया मुश्तरी ने बोतलों पर मोहर लगाकर बाइअ् ही के यहाँ छोड़ दिया तो क़ब्ज़ा होगया कि वह अगर हलाक होगा मुश्तरी का नुक़सान होगा बाइअ् को उससे तअल्लुक़ न होगा और अगर मबीअ् बाइअ् के मकान में है बाइअ् ने उसे कुन्जी देदी और कह दिया कि मैंने तख़लिया कर दिया तो क़ब्ज़ा होगया और कुन्जी देकर कुछ न कहा तो क़ब्ज़ा न हुआ। (आलमगीरी)

मसअ्ला.100:– मकान ख़रीदा और उसकी कुन्जी बाइअ् ने देकर कह दिया कि तख़लिया कर दिया अगर वह मकान में वहीं है कि आसानी के साथ उस मकान में ताला लगा सकता है तो क़ब्ज़ा होगया और मबीअ् दूर है तो क़ब्ज़ा न हुआ अगरचे बाइअ् ने कह दिया हो कि मैंने तुम्हें सिपुर्द कर दिया और मुश्तरी ने कहा मैंने क़ब्ज़ा कर लिया। (आलमगीरी, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.101:– बैल ख़रीदा जो चर रहा है बाइअ् ने कह दिया जाओ क़ब्ज़ा करलो अगर बैल सामने है कि उसकी तरफ़ इशारा किया जा सकता है तो क़ब्ज़ा हुआ वरना नहीं, कपड़ा ख़रीदा और बाइअ् ने कहदिया कि क़ब्ज़ा करलो अगर इतना नज़्दीक है कि हाथ बढ़ाकर लेसकता है क़ब्ज़ा होगया और अगर क़ब्जा के लिये उठना पड़ेगा तो फ़क़त तख़लिया से क़ब्ज़ा न होगा(आलमगीरी)

मसअ्ला.102:– घोड़ा ख़रीदा जिसपर बाइअ् सवार है मुश्तरी ने कहा मुझे सवार करले उसने सवार कर लिया अगर उस पर ज़ीन नहीं है तो मुश्तरी का क़ब्ज़ा होगया और ज़ीन है और मुश्तरी ज़ीन पर सवार हुआ जब भी क़ब्ज़ा होगया और ज़ीन पर सवार न हुआ तो क़ब्जा न हुआ और अगर दोनों बैअ् से पहले उस घोड़े पर सवार थे और उसी हालत में अक़्दे बैअ् हुआ तो मुश्तरी का यह सवार होना क़ब्ज़ा नहीं जिस तरह मकान में बाइअ् व मुश्तरी दोनों हैं और मालिक ने वह मकान बैअ् किया तो मुश्तरी का उस मकान में होना क़ब्ज़ा नहीं। (फ़तहुल'क़दीर)

मसअ्ला.103:– नगीना जो अँगूठी में है उसे ख़रीदा बाइअ् ने अंगुश्तरी मुश्तरी को देदी कि उसमें से नगीना निकाल ले अँगुश्तरी मुश्तरी के पास से ज़ाइअ् होगई अगर मुश्तरी आसानी से नगीना निकाल सकता है तो क़ब्ज़ा सहीह होगया सिर्फ़ नगीना का समन देना होगा और अगर बिला ज़रर (बिग़ैर नुक़्सान) उसमें से नगीना न निकाल सकता हो तो तस्लीम सहीह नहीं और मुश्तरी को कुछ नहीं देना पड़ेगा और अगर अँगूठी ज़ाइअ् न हुई और बिला ज़रर मुश्तरी निकाल नहीं सकता और ज़रर बरदाश्त करना नहीं चाहता तो उसे इख़्तेयार है कि बाइअ् का इन्तेज़ार करे कि वह जुदा करके दे या बैअ् फ़स्ख़ (ख़त्म) कर दे। (ख़ानिया)

मसअ्ला.104:– बड़े मटके या गोली बैअ् की जो बिग़ैर दरवाज़ा खोदे घर में से नहीं निकल सकती उसके क़ब्ज़ा के लिये बाइअ् पर लाज़िम होगा कि घर से बाहर निकाल कर क़ब्ज़ा दिलाये और बाइअ् उसमें अपना नुक़सान समझता है तो बैअ् फ़स्ख़ कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.105:– तेल ख़रीदा और बर्तन बाइअ् को दे दिया कि उसमें तोलकर डालदे एक सेर उस में डाला था कि बर्तन टूट गया और तेल बह गया जिसकी ख़बर बाइअ् मुश्तरी किसी को न हुई बाइअ् ने उसमें फिर और तेल डाला अब हुक्म यह है कि टूटने से पहले जितना तेल डाला और बह गया वह मुश्तरी का नुक़सान हुआ और टूटने के बाद जो तेल डाला और बहा यह बाइअ् का है और अगर टूटने के पहले जितना तेल डाला था वह सब नहीं बहा उसमें का कुछ बह रहा था कि बाइअ् ने दूसरा उसपर डाल दिया तो वह पहले का बक़िया बाइअ् की मिल्क क़रार दिया जाये और उसकी क़ीमत का तावान मुश्तरी को दे। और अगर मुश्तरी ने टूटा हुआ बर्तन बाइअ् को दिया था जिसकी दोनों को ख़बर न थी तो जो कुछ तेल बह जायेगा सारा नुक़सान मुश्तरी के ज़िम्मे है, और अगर मुश्तरी ने बरतन बाइअ् को नहीं दिया बल्कि ख़ुद लिये रहा और बाइअ् उसमें तोलकर डालता रहा तो हर सूरत में कुल नुक़सान मुश्तरी के ज़िम्मे है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.106:– रोग़न ख़रीदा और बाइअ् को बर्तन दे दिया और कह दिया कि इसमें तोलकर

डालदे और बर्तन टूटा हुआ था जिसकी बाइअ् को ख़बर न थी और मुश्तरी को इल्म न था तो नुक़सान बाइअ् के ज़िम्मे है और अगर मुश्तरी को मा़लूम था बाइअ् को मा़लूम न था या दोनों को मा़लूम न था तो सारा नुकसान दोनों सूरतों में मुश्तरी का होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.107:– तेल ख़रीदा और बाइअ् को बोतल देकर कहा कि मेरे आदमी के हाथ मेरे यहाँ भेज देना अगर रास्ते में बोतल टूटगई ओर तेल ज़ाइअ् (बर्बाद) होगया तो मुश्तरी का नुक़सान हुआ और अगर यह कहा था कि अपने आदमी के हाथ मेरे मकान पर भेज देना तो बाइअ् का नुक़सान होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.108:– कोई चीज़ ख़रीदकर बाइअ् के यहाँ छोड़दी और कह दिया कि कल ले जाऊँगा अगर नुक़सान हुआ तो मेरा होगा और फ़र्ज़ करो वह जानवर था जो रात में मरगया बाइअ् का नुक़सान हुआ मुश्तरी का वह कहना बेकार है इस लिये कि ज़ब तक मुश्तरी का क़ब्ज़ा न हो मुश्तरी को नुक़सान से तअ़ल्लुक नहीं। (खानिया)

मसअ्ला.109:– कोई चीज़ बेची जिसका समन अभी वुसूल नहीं हुआ है वह चीज़ किसी सालिस (तीसरे) के पास रख दी कि मुश्तरी समन देकर मबीअ् वसूल करेगा और वहाँ चीज़ ज़ाइअ् होगई तो नुक़सान बाइअ् का हुआ और अगर सालिस (तीसरे) ने थोड़ा समन वसूल करके वह चीज़ मुश्तरी को देदी जिसकी बाइअ् को ख़बर न हुई तो बाइअ् वह चीज मुश्तरी से वापस ले सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.110:– कपड़ा ख़रीदा है जिसका समन (कीमत) अदा नहीं किया कि क़ब्ज़ा करता उसने बाइअ् से कहा कि सालिस के पास उसे रखदो मैं दाम देकर ले लूँगा बाइअ् ने रख दिया और वहाँ कपड़ा ज़ाइअ् (बर्बाद) होगया तो नुक़सान बाइअ् का हुआ कि सालिस का क़ब्ज़ा बाइअ् के लिये है लिहाज़ा नुक़सान भी बाइअ् का होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.111:– मबीअ् (जिस चीज़ का सौदा हुआ) बाइअ् के हाथ में थी और मुश्तरी ने उसे हलाक कर दिया या उसमें ऐ़ब पैदा करदिया या बाइअ् ने मुश्तरी के हुक्म से ऐ़ब पैदा करदिया तो मुश्तरी का क़ब्ज़ा होगया, गेहूँ ख़रीदे ओर बाइअ् से कहा कि उन्हें पीस दे उसने पीस दिये तो मुश्तरी का क़ब्ज़ा होगया और आटा मुश्तरी का है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.112:– मुश्तरी ने क़ब्ज़ा से पहले बाइअ् से कह दिया कि मबीअ् फुलां शख़्स को हिबा करदे उसने हिबा कर दिया और मौहूब लहु(जिसको दिया)को क़ब्ज़ा भी दिला दिया तो हिबा जाइज़ है और मुश्तरी का क़ब्ज़ा होगया यूँही अगर बाइअ् से कह दिया कि उसे किराये पर देदे उसने देदिया तो जाइज़ है और मुस्ताजिर का क़ब्ज़ा पहले मुश्तरी के लिये होगा फिर अपने लिये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.113:– मुश्तरी ने बाइअ् से मबीअ् में ऐसा काम करने को कहा जिससे मबीअ् में कोई कमी पैदा न हो जैसे कोरा कपड़ा था उसे धुलवाया तो मुश्तरी का क़ब्ज़ा न हुआ फिर अगर उजरत पर धुलवाया है तो उजरत मुश्तरी के ज़िम्मे है वरना नहीं और अगर वह काम ऐसा है जिससे कमी पैदा हो जाती है तो मुश्तरी का क़ब्ज़ा होगया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.114:– मुश्तरी ने समन अदा करने से पहले बिग़ैर इजाज़ते बाइअ् मबीअ् पर क़ब्ज़ा कर लिया तो बाइअ् को इख़्तेयार है उसका क़ब्ज़ा बातिल करके मबीअ् वापस लेले और इस सूरत में मुश्तरी का तख़लिया कर देना बाइअ् के क़ब्ज़े के लिये काफ़ी न होगा बल्कि हक़ीकतन क़ब्ज़ा करना होगा और अगर मुश्तरी नें क़ब्जा करके कोई ऐसा तसर्रूफ़ कर दिया या रेहन रख दिया या इजारा पर देदिया या सदक़ा करदिया और अगर वह तसर्रूफ़ ऐसा है जो टूट नहीं सकता तो मजबूरी है मसलन गुलाम था जिसको मुश्तरी आज़ाद कर चुका है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.115:– मबीअ् पर मुश्तरी का क़ब्ज़ा अ़क्दे बैअ् के पहले ही हो चुका है, अगर वह क़ब्जा ऐसा है कि तल्फ़ (माल बर्बाद) होने की सूरत में तावान देना पड़ता है तो बैअ् के बाद जदीद क़ब्ज़ा की ज़रूरत नहीं मसलन वह चीज़ मुश्तरी ने ग़सब कर रखी है या बैअ् फ़ासिद के ज़रीअ़े ख़रीद कर क़ब्जा करलिया अब उसे अ़क्दे सहीह के साथ ख़रीदा तो वही पहला क़ब्जा काफ़ी है कि अ़क्द

के बाद अभी घर पहुँचा भी न था कि वह शय हलाक होगई तो मुश्तरी की हलाक हुई और अगर वह क़ब्ज़ा ऐसा न हो जिससे ज़मान लाज़िम आये मसलन मुश्तरी के पास वह चीज़ अमानत के तौर पर थी तो जदीद क़ब्ज़ा की ज़रूरत है यही हुक्म सब जगह है दोनों कब्जे एक क़िस्म के हों यानी दोनों क़ब्ज़ा–ए–ज़मान या दोनों क़ब्ज़ा–ए–अमानत हों तो एक दूसरे के क़ायम मक़ाम होगा और अगर मुख़्तलिफ़ हों तो क़ब्ज़ा–ए–ज़मान क़ब्ज़ा–ए–अमानत के क़ायम मक़ाम होगा मगर क़ब्ज़ा–ए–अमानत क़ब्ज़ा–ए–ज़मान के क़ायम मक़ाम नहीं होगा। (आलमगीरी)

ख़्यारे शर्त का बयान

हदीस (1) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अनहुमा से मरवी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "बाइअ् व मुश्तरी में से हर एक को इख़्तेयार हासिल है जब तक जुदा न हों (यानी जब तक अक़्द में मशगूल हों अक़्द तमाम न हुआ हो) मगर बैअे ख़्यार" (कि उसमें बादे अक़्द भी ख़्यार रहता है)।

हदीस (2) इमाम बुख़ारी व मुस्लिम हकीम बिन हिज़ाम रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "बाइअ् व मुश्तरी को इख़्तेयार हासिल है जब तक जुदा न हों अगर वह दोनों सच बोलें और ऐब को ज़ाहिर करदें उनके लिये बैअ् में बरकत होगी और अगर ऐब को छुपायें और झूठ बोलें बैअ् की बरकत मिटा दी जायेगी"।

हदीस (3) तिर्मिज़ी व अबुदाऊद व नसई ब'रिवायत अम्र बिन शुऐब अन अबीही अन जद्देही रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "बाइअ् व मुश्तरी को ख़्यार है जब तक जुदा न हों मगर जब कि अक़्द में ख़्यार हो और उनमें यह किसी को दुरुस्त नहीं दूसरे के पास से इस ख़ौफ से चला जाये कि इक़ाला की दरख़्वास्त करेगा"।

हदीस (4) अबूदाऊद ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि "बिग़ैर रज़ा'मन्दी दोनों जुदा न हों"।

हदीस (5) बैहक़ी इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी इरशाद फ़रमाया कि "ख़्यार तीन दिन तक है"।

मसअला.1:– बाइअ् व मुश्तरी को यह हक़ हासिल है कि वह क़तई तौर पर बैअ् न करें बल्कि अक़्द में यह शर्त करदें कि अगर मन्जूर न हुआ तो बैअ् बाक़ी न रहेगी उसे ख़्यारे शर्त कहते हैं और उसकी ज़रूरत तरफ़ैन को हुआ करती है क्योंकि कभी बाइअ् अपनी ना'वाक़िफ़ी से कम दामों में चीज़ बेच देता है या मुश्तरी अपनी नादानी से ज़्यादा दामों से ख़रीद लेता है या चीज़ की उसे शनाख़्त नहीं है ज़रूरत है कि दूसरे से मशवरा करके सहीह राय क़ायम करे और अगर उस वक़्त न खरीदें तो चीज़ जाती रहेगी या बाइअ् को अन्देशा है कि ग्राहक हाथ से निकल जायेगा ऐसी सूरत में शरा मुतहहरा ने दोनों को यह मौक़ा दिया है कि ग़ौर करलें अगर ना'मन्जूर हो तो ख़्यार की बिना पर बैअ् को ना'मन्जूर करदें।

मसअला.2:– ख़्यारे शर्त बाइअ् व मुश्तरी दोनों अपने अपने लिये करें या सिर्फ़ एक करे या किसी और के लिये उसकी शर्त करें सब सूरतें दुरुस्त हैं और यह भी हो सकता है कि अक़्द में ख़्यारे शर्त का ज़िक्र न हो मगर अक़्द के बाद एक ने दूसरे को या हर एक ने दूसरे को या किसी ग़ैर को ख़्यार देदिया अक़्द से पहले ख़्यारे शर्त नहीं हो सकता यानी पहले ख़्यार का ज़िक्र आया मगर अक़्द में ज़िक्र न आया न बादे अक़्द उसकी शर्त की मसलन बैअ् से पहले यह कह दिया कि जो बैअ् तुम से करूँगा उसमें मैंने तुमको ख़्यार दिया मगर अक़्द के वक़्त बैअे मुतलक़ वाक़े हुई तो ख़्यार हासिल न हुआ। (दुर्रमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअला.3:– ख़्यारे शर्त इन चीजों में हो सकता है (1)बैअ्, (2)इजारह, (3)क़िस्मत, (4)माल से

सुलह, (5)किताबत, (6)खुलअ् में जब कि औरत के लिये माल हो, (7)माल पर गुलाम आज़ाद करने में जब कि गुलाम के लिये हो आका के लिये नहीं हो सकता, (8)राहिन के लिये हो सकता है मुरतहिन के लिये नहीं क्योंकि यह जब चाहे रेहन को छोड़ सकता है ख़्यार की क्या ज़रूरत, (9)किफ़ालत में मकफुल लहू (जिसकी किफ़ालत की जाये) और कफ़ील के लिये हो सकता है, (10)इब्रा (किसी को अपना हक मुआफ़ कर देना) में हो सकता है मसलन यह कहा कि मैंने तुझे बरी किया और मुझे तीन दिन तक इख़्तेयार है, (11)शुफ़आ की तस्लीम में बादे तलबे मुवासेबत ख़्यार हो सकता है, (12)हवाला में हो सकता है, (13)मुज़ारअत में, (14)मुआमला में हो सकता है और **इन चीज़ों में ख़्यार नहीं हो सकता,** (1)निकाह, (2)तलाक़, (3)यमीन, (4)नज़र, (5)इक़रारे अ़क्द, (6) बैअ् सफ़, (7)सलम, (8)वकालत। (बहर)

मसअ्ला.4 :– पूरी मबीअ् में ख़्यारे शर्त हो या मबीअ् के किसी जुज़ में हो मसलन निस्फ़ या रूबा (आधा या चौथाई) में और बाक़ी में ख़्यार न हो दोनों सूरतें जाइज़ हैं और अगर मबीअ् मुतअ़द्दिद चीज़ें हों उनमें बाज़ के मुतअ़ल्लिक़ ख़्यार हो और बाज़ के मुतअ़ल्लिक़ न हो यह भी दुरुस्त है मगर इस सूरत में यह ज़रूर है कि जिसके मुतअ़ल्लिक़ ख़्यार हो उसको मुतअ़य्यन कर दिया गया हो और समन की तफ़सील भी पूरी करदी गई हो यानी यह ज़ाहिर कर दिया गया हो कि इसके मुक़ाबिल में यह समन है मसलन दो बकरियाँ आठ रूपये में ख़रीदीं और यह बताया गया कि इस बकरी में ख़्यार है और उसका समन मसलन तीन रूपये है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.5:– अगर बाइअ् मुश्तरी में इख़्तेलाफ़ हुआ एक कहता है ख़्यारे शर्त था दूसरा कहता है कि नहीं था तो मुददई–ए–ख़्यार को गवाह पेश करना होगा अगर यह गवाह पेश न करे तो मुन्किर का क़ौल मोअ़तबर होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसला.6:– ख़्यार की मुद्दत ज़्यादा से ज़्याद तीन दिन है उससे कम हो सकती है ज़्यादा नहीं, अगर कोई ऐसी चीज़ ख़रीदी है जो जल्द ख़राब होजाने वाली और मुश्तरी को तीन दिन का ख़्यार था तो उससे कहा जायेगा कि बैअ् को फ़स्ख़ करदे या जाइज़ करदे और अगर ख़राब होने वाली चीज़ किसी ने बिला ख़्यार ख़रीदी और बिग़ैर क़ब्ज़ा किये और बिग़ैर समन अदा किये चल दिया और ग़ायब होगया तो बाइअ् उस चीज़ को दूसरे के हाथ बैअ् कर सकता है उस दूसरे ख़रीदार को यह मालूम होते हुए भी ख़रीदना जाइज़ है।-(ख़ानिया, दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.7:– अगर ख़्यार की कोई मुद्दत ज़िक्र न की सिर्फ़ इतना कहा मुझे ख़्यार है या मुद्दत मजहूल है मसलन मुझे चन्द दिन का ख़्यार है या हमेशा के लिये ख़्यार रखा इन सब सूरतों में ख़्यार फ़ासिद है यह उस सूरत में है कि नफ़से अ़क्द में ख़्यार मज़कूर हो और तीन दिन के अन्दर साहिबे ख़्यार ने जाइज़ न किया और अगर तीन दिन के अन्दर जाइज़ कर दिया तो बैअ् सहीह होगई और अगर अ़क्द में ख़्यार न था बादे अ़क्द एक ने दूसरे से कहा तुम्हें इख़्तेयार है तो उस मज्लिस तक ख़्यार है और मज्लिस ख़त्म होगई और उसने कुछ न कहा तो ख़्यार जाता रहा अब कुछ नहीं कर सकता। (आलमगीरी, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.8:– तीन दिन से ज़्यादा की मुद्दत मुक़र्रर की मगर अभी तीन दिन पूरे न हुए थे कि साहिबे ख़्यार ने बैअ् को जाइज़ कर दिया तो अब यह बैअ् दुरुस्त है और अगर तीन दिन पूरे हो गये और जाइज़ न किया तो बैअ् फ़ासिद होगई। (हिदाया,वग़ैरा)

मसअ्ला.9:– मुश्तरी ने बाइअ् से कहा अगर तीन दिन तक समन अदा न करूँ तो मेरे और तेरे दरम्यान बैअ् नहीं यह भी ख़्यारे शर्त के हुक्म में है यानी अगर इस मुद्दत तक समन अदा कर दिया बैअ् दुरुस्त होगई वरना जाती रही और अगर तीन दिन से ज़्यादा मुद्दत ज़िक्र करके यही लफ़्ज़ कहे और तीन दिन के अन्दर अदा कर दिया तो बैअ् सहीह होगई और तीन दिन पूरे हो चुके तो बैअ् जाती रही। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– बैअ् हुई और समन भी मुश्तरी ने देदिया और यह ठहरा कि अगर तीन दिन के

अन्दर बाइअ़ ने समन फेर दिया तो बैअ़ नहीं रहेगी यह भी ख़्यारे शर्त के हुक्म में है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– तीन दिन की मुद्दत थी मगर उसमें से एक दिन या दो दिन बाद में कम कर दिया तो ख़्यार की मुद्दत वह है जो कमी के बाद बाक़ी रही मसलन तीन दिन में से एक दिन कम कर दिया तो अब दो ही दिन की मुद्दत है यह मद्दत पूरी होने पर ख़्यार ख़त्म होगया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– बाइअ़ ने ख़्यारे शर्त अपने लिये रखा है तो मबीअ़ उसके मिल्क से ख़ारिज नहीं हुई फिर अगर मुश्तरी ने उसपर क़ब्ज़ा कर लिया चाहे यह कब्जा बाइअ़ की इजाज़त से हो या बिला इजाज़त और मुश्तरी के पास हलाक होगई तो मुश्तरी पर मबीअ़ की वाजिबी क़ीमत तावान में वाजिब है और अगर मिसली है तो मुश्तरी पर उसकी मिस्ल वाजिब है और अगर बाइअ़ ने बैअ़ फ़स्ख़ करदी है जब भी यही हुक्म है यानी क़ीमत या उस चीज की मिस्ल वाजिब है और अगर बाइअ़ ने अपना ख़्यार ख़त्म कर दिया और बैअ़ को जाइज़ कर दिया या बादे मुद्दत वह चीज़ हलाक होगई तो मुश्तरी के ज़िम्मे समन वाजिब यानी जो दाम तय हुआ है देना होगा, अगर मबीअ़ बाइअ़ के पास हलाक होगई तो बैअ़ जाती रही किसी पर कुछ लेना देना नहीं, और मबीअ़ में कोई ऐब पैदा होगया तो बाइअ़ का ख़्यार बदस्तूर बाक़ी है मगर मुश्तरी को इख़्तेयार होगा कि चाहे पूरी क़ीमत पर मबीअ़ को लेले या न ले, और अगर बाइअ़ ने खुद उसमें कोई ऐब पैदा कर दिया है तो समन में उस ऐब की क़द्र कमी की जायेगी। मुश्तरी पर जिस सूरत में क़ीमत वाजिब है उससे मुराद उस दिन की क़ीमत है जिस दिन उसने क़ब्ज़ा किया है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार वग़ैरहुमा)

मसअ्ला.13:– बाइअ़ को ख़्यार हो तो समन मिल्के मुश्तरी से ख़ारिज होजाता है मगर बाइअ़ की मिल्क में दाख़िल नहीं होता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– मुश्तरी ने अपने लिये ख़्यार रखा है तो मबीअ़ बाइअ़ की मिल्क से ख़ारिज होगई यानी इस सूरत में अगर बाइअ़ ने मबीअ़ में कोई तसर्रुफ़ किया है तो यह तसर्रुफ़ सहीह नहीं मसलन ग़ुलाम है जिसको आज़ाद कर दिया तो आज़ाद न हुआ और इस सूरत में अगर मबीअ़ मुश्तरी के पास हलाक होगई तो समन के बदले में हलाक हुई यानी समन देना पड़ेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.15:– मबीअ़ मुश्तरी के क़ब्ज़े में है और उसमें ऐब पैदा होगया चाहे वह ऐब मुश्तरी ने किया हो या किसी अजनबी ने या आफ़ते समावी से या खुद मबीअ़ के फ़ेअ्ल से ऐब पैदा हुआ बहर हाल अगर ख़्यार मुश्तरी को है तो मुश्तरी को समन देना पड़ेगा और बाइअ़ को है तो मुश्तरी पर क़ीमत वाजिब है और बाइअ़ यह भी कर सकता है कि बैअ़ को फ़स्ख़ करदे और जो कुछ ऐब की वजह से नुक़सान हुआ उसकी क़ीमत लेले जबकि वह चीज़ क़ीमती हो और अगर वह चीज़ मिस्ल है तो बैअ़ को फ़स्ख़ करके नुक़सान नहीं ले सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– ऐब का यह हुक्म उस वक़्त है जब वह ऐब ज़ाएल (ख़त्म) न हो सकता हो मसलन हाथ काट डाला और अगर ऐसा ऐब हो जो दूर हो सकता हो मसलन मबीअ़ में बीमारी पैदा होगई तो उसका हुक्म यह है कि अगर वह ऐब मुद्दत के अन्दर ज़ाएल (ख़त्म) होगया तो मुश्तरी का ख़्यार ब'दस्तूर बाक़ी है मुद्दत के अन्दर मबीअ़ को वापस कर सकता है और मुद्दत के अन्दर ऐब दूर न हुआ तो मुद्दत पूरी होते ही मुश्तरी पर बैअ़ लाज़िम होगई क्योंकि ऐब की वजह से मुश्तरी फेर नहीं सकता और बादे मुद्दत ऐब जाता रहे फिर भी मुश्तरी को हक़े फ़स्ख़ नहीं (ख़त्म करने का हक़ नहीं) कि बैअ़ लाज़िम होजाने के बाद उसका हक़ जाता रहा। (दुर्रेमुख़्तार,वग़ैरा)

मसअ्ला.17:– ख़्यारे मुश्तरी की सूरत में समन मिल्के मुश्तरी से ख़ारिज नहीं होता और मबीअ़ अगरचे मिल्के बाइअ़ से ख़ारिज हो जाती है मगर मुश्तरी की मिल्क में नहीं आती फिर भी अगर मुश्तरी ने मबीअ़ में कोई तसर्रुफ़ किया मसलन ग़ुलाम है जिसको आज़ाद कर दिया तो यह तसर्रुफ़ नाफ़िज़ होगा और इस तसर्रुफ़ को इजाज़त समझा जायेगा। (हिदाया,वग़ैरा)

मसअ्ला.18:– मुश्तरी और बाइअ़ दोनों को ख़्यार है तो न मबीअ़ मिल्के बाइअ़ से ख़ारिज होगी न

समन मिल्के मुश्तरी से फिर अगर बाइअ़ ने मबीअ़ में तसर्रुफ़ किया तो बैअ़ फ़स्ख़ हो जायेगी और मुश्तरी ने समन में तसर्रुफ़ किया और वह समन ऐन हो (यानी अज़ कबीले नुकूद न हो) तो मुश्तरी की जानिब से बैअ़ फ़स्ख़ है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.19:– इस सूरत में कि दोनों को ख़्यार है अन्दुरूने मुद्दत इन में से कोई भी बैअ़ को फ़स्ख़ करे फ़स्ख़ होजायेगी और जो बैअ़ को जाइज़ कर देगा उसका ख़्यार बातिल होजायेगा यानी उसकी जानिब से बैअ़ क़तई होगई और दूसरे का ख़्यार बाक़ी रहेगा और अगर मुद्दत पूरी होगई और किसी ने न फ़स्ख़ किया न जाइज़ किया तो अब तरफ़ैन(दोनों तरफ से)से बैअ़ लाज़िम हो गई।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.20:– जिसके लिये ख़्यार है चाहे वह बाइअ़ हो या मुश्तरी या अजनबी जब उसने बैअ़ को जाइज़ कर दिया तो बैअ़ मुकम्मल होगई दूसरे को उसका इल्म हो या न हो अलबत्ता अगर दोनों को ख़्यार था तो तनहा उसके जाइज़ कर देने से बैअ़ की तमामियत (बैअ़ पूरी होना) न होगी क्योंकि दूसरे को हक़्क़े फ़स्ख़ हासिल है अगर यह फ़स्ख़ कर देगा तो उसका जाइज़ करना मुफ़ीद न होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.21:– बाइअ़ को ख़्यार था और अन्दुरूने मुद्दत बैअ़ फ़स्ख़ करदी फिर जाइज़ करदी और मुश्तरी ने उसको क़बूल कर लिया तो बैअ़ सहीह होगई मगर यह एक जदीद बैअ़ हुई क्योंकि फ़स्ख़ करने से पहली बैअ़ जाती रही और मुश्तरी को ख़्यार था और जाइज़ करदी फिर फ़स्ख़ की और बाइअ़ ने मन्जूर करलिया तो फ़स्ख़ होगई और यह हक़ीक़तन इक़ाला है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.22:– साहिबे ख़्यार ने बैअ़ को फ़स्ख़ किया उसकी दो सूरतें हैं क़ौल से फ़स्ख़ करे तो अन्दुरूने मुद्दत दूसरे को उसका इल्म होजाना ज़रूरी है अगर दूसरे को इल्म ही न हो या मुद्दत गुज़रने के बाद उसे मालूम हुआ तो फ़स्ख़ सहीह नहीं और बैअ़ लाज़िम होगई और अगर साहिबे ख़्यार ने अपने किसी फ़ेअ्ल (काम) से बैअ़ को फ़स्ख़ किया तो अगरचे दूसरे को इल्म न हो फ़स्ख़ हो जायेगी मसलन मबीअ़ में उस क़िस्म का तसर्रुफ़ किया जो मालिक किया करते हैं मसलन मबीअ़ गुलाम है उसे आज़ाद कर दिया या बेच डाला या कनीज़ है उससे वती की या उसका बोसा लिया या मबीअ़ को हिबा करके या रेहन रखकर क़ब्ज़ा देदिया या इजारा पर दिया या मुश्तरी से समन मुआफ़ कर दिया या मकान किसी को रहने के लिये दे दिया अगरचे किराया या उसमें नई तामीर की या कहगल की या मरम्मत कराई या ढा दिया या समन में (जबकि ऐन हो) तसर्रुफ़ कर डाला इन सूरतों में बैअ़ फ़स्ख़ होगई अगरचे अन्दुरूने मुद्दत दुसरे को इल्म न हुआ। (आलमगीरी)

मसअ्ला.23:– जिसके लिये ख़्यार है उसने कहा मैंने बैअ़ को जाइज़ कर दिया या बैअ़ पर राज़ी हूँ या अपना ख़्यार मैंने साक़ित कर दिया या इसी क़िस्म के दूसरे अलफ़ाज़ कहे तो ख़्यार जाता रहा और बैअ़ लाज़िम होगई और अगर यह अलफ़ाज़ कहे कि मेरा क़स्द लेने का है या मुझे यह चीज पसन्द है या मुझे उसकी ख़्वाहिश है तो ख़्यार बातिल न होगा। (आलमगीरी, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.24:– जिसके लिये ख़्यार था वह अन्दुरूने मुद्दत मरगया ख़्यार बातिल होगया यह नहीं हो सकता कि उसके मरने के बाद वारिस की तरफ़ ख़्यार मुन्तक़िल हो कि ख़्यार में मीरास नहीं जारी होती यूँही अगर बेहोश होगया या मजनून होगया या सोता रहगया और मुद्दत गुज़र गई ख़्यार बातिल होगया, मुश्तरी को बतौरे तम्लीक (मालिक बनाने के तौर पर) क़ब्ज़ा दिया बाइअ़ का ख़्यार बातिल होगया और अगर बतौरे तम्लीक क़ब्ज़ा न दिया बल्कि अपना इख़्तेयार रखते हुए क़ब्ज़ा दिया ख़्यार बातिल न हुआ। (आलमगीरी, दुर्रेमुहतार)

मसअ्ला.25:– मबीअ़ मुतअ़द्दिद चीज़ें हैं और साहिबे ख़्यार यह चाहता है कि बाज़ में अक़्द को जाइज़ करे और बाज़ में नहीं यह नहीं कर सकता बल्कि कुल की बैअ़ जाइज़ करे या फ़स्ख़(आलमगीरी)

मसअ्ला.26:– मुश्तरी को ख़्यार है तो जब तक मुद्दत पूरी न होले बाइअ़ समन का मुतालबा नहीं कर सकता और बाइअ़ को भी तस्लीमे मबीअ़ पर मजबूर नहीं किया जासकता अलबत्ता अगर मुश्तरी ने समन दे दिया है तो बाइअ़ को मबीअ़ देना पड़ेगा यूँही अगर बाइअ़ ने तस्लीमे मबीअ़

करदी है तो मुश्तरी को समन देना पड़ेगा मगर बैअ् फ़स्ख़ करने का हक़ रहेगा और अगर बाइअ् का ख़्यार है और मुश्तरी ने समन अदा कर दिया है और मबीअ् पर क़ब्ज़ा चाहता है तो बाइअ् क़ब्ज़ा से रोक सकता है मगर ऐसा करेगा तो समन फेरना पड़ेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.27:– एक मकान ब'शर्ते ख़्यार ख़रीदा था उसके पड़ोस में एक दूसरा मकान फ़रोख़्त हुआ मुश्तरी ने शुफ़आ किया ख़्यार बातिल होगया और बैअ् लाज़िम होगई। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.28:– बाइअ् या मुश्तरी ने किसी अजनबी को ख़्यार देदिया तो इन दोनों में से जिस एक ने जाइज़ कर दिया ख़्यार जाता रहा और बैअ् को फ़स्ख़ कर दिया फ़स्ख़ होगई और एक ने जाइज़ की दूसरे ने फ़स्ख़ की तो जो पहले है उसका ही एअ्तेबार है और दोनों एक साथ हों तो फ़स्ख़ को तरजीह है यानी बैअ् जाती रही। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.29:– दो चीज़ों को एक साथ बेचा मसलन दो गुलाम या दो कपड़े या दो जानवर उन में एक में बाइअ् या मुश्तरी ने ख़्यारे शर्त किया उसकी चार सूरतें हैं जिस एक में ख़्यार है वह मुतअ़य्यन है या नहीं और हर एक का समन अलग–अलग बयान कर दिया गया है या नहीं अगर महल्ले ख़्यार मुतअ़य्यन (ख़्यार की जगह ख़ास) है और हर एक का समन ज़ाहिर कर दिया गया तो बैअ् सहीह है बाक़ी तीन सूरतों में बैअ् फ़ासिद, और अगर कैली (तोल की चीज़) या वज़नी चीज़ ख़रीदी और उसके निस्फ़ में ख़्यारे शर्त रखा या एक गुलाम ख़रीदा और निस्फ़ में ख़्यार रखा तो बैअ् सहीह है समन की तफ़सील करे या न करे। (आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.30:– किसी को वकील बनाया कि यह चीज़ बिशरतिलख़्यार (ख़्यार की शर्त के साथ) बैअ् करे उसने बिला शर्त बेच डाली यह बैअ् जाइज़ व नाफ़िज़ न हुई और अगर बिशरतिलख़्यार ख़रीदने के लिये वकील किया था वकील ने बिला शर्त ख़रीदी तो बैअ् सहीह होगई मगर वकील पर नाफ़िज़ होगी मोअक्किल पर नाफ़िज़ न हुई। (फ़तह,वग़ैरा)

मसअ्ला31:– दो शख़्सों ने एक चीज़ ख़रीदी और उन दोनों ने अपने लिये ख़्यारे शर्त किया फिर एक ने सराहतन या दलालतन बैअ् पर रज़ा'मन्दी ज़ाहिर की तो दूसरे का ख़्यार जाता रहा यूँही अगर दो शख़्सों ने किसी चीज़ को एक अ़क़्द में बैअ् किया और दोनों ने अपने लिये ख़्यार रखा फिर एक बाइअ् ने बैअ् को जाइज़ कर दिया तो दूसरे का ख़्यार बातिल होगया उसे रद करने का हक़ न रहा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.32:– एक अ़क़्द में दो चीज़ें बेची थीं और अपने लिये ख़्यार रखा था फिर एक में बैअ् को फ़स्ख़ कर दिया तो फ़स्ख़ न हुई बल्कि ब'दस्तूर ख़्यार बाक़ी है यूँही एक चीज़ बेची थी और उसके निस्फ़ में फ़स्ख़ किया तो बैअ् फ़स्ख़ न हुई और ख़्यार बाक़ी है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.33:– साहिबे ख़्यार ने यह कहा अगर फुलां काम आज न करूँ तो ख़्यार बातिल है तो ख़्यार बातिल न होगा और अगर यह कहा कल आइन्दा मैंने ख़्यार बातिल किया या यह कि जब कल आयेगा तो मेरा ख़्यार बातिल होजायेगा तो दूसरा दिन आने पर ख़्यार बातिल हो जायेगा(आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– बाइअ् को तीन दिन का ख़्यार था और मबीअ् पर मुश्तरी को क़ब्ज़ा देदिया फिर मबीअ् को ग़सब कर लिया तो इस फ़ेअ्ल से न बैअ् फ़स्ख़ हुई न ख़्यार बातिल हुआ। (आलमगीरी)

मसअ्ला.35:– शर्ते ख़्यार के साथ कोई चीज़ बैअ् की और तक़ाबुज़े बदलैन (दो चीज़ों को आपस में बदलकर क़ब्ज़ा करना यानी मबीअ् व समन पर क़ब्ज़ा) होगया फिर बाइअ् ने अन्दुरूने मुद्दत बैअ् फ़स्ख़ करदी तो मुश्तरी मबीअ् को वापसी तक समन रोक सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.36:– एक शख़्स ने शर्ते ख़्यार के साथ मकान बैअ् किया मुश्तरी ने बाइअ् को कुछ रूपया या कोई चीज़ दी कि बाइअ् अपना ख़्यार साकित करदे और बैअ् को नाफ़िज़ करदे उसने ऐसा कर दिया यह जाइज़ है और यह जो कुछ दिया समन में शुमार होगा यूंही अगर मुश्तरी के लिये ख़्यार था और बाइअ् ने कहा कि अगर ख़्यार साक़ित करदे तो मैं समन में इतनी कमी करता हूँ या मबीअ् में यह चीज़ और इज़ाफ़ा करता हूँ यह भी जाइज़ है। (ख़ानिया)

मसअ्ला.37:– एक चीज़ हज़ार रूपये को बेची थी मुश्तरी ने बाइअ् को अशर्फ़ियां दीं फिर बाइअ् ने अन्दुरूने मुद्दत (मुद्दत में) बैअ् को फस्ख़ कर दिया तो मुश्तरी को अशर्फ़ियाँ वापस करनी होंगी अशर्फ़ियों की जगह रूपया नहीं दे सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.38:– मुश्तरी के लिये ख़्यार है और उसने मबीअ् में बग़र्ज़ इम्तेहान कोई तसर्रूफ़ किया और जो फ़ेअ्ल (काम) किया हो वह ग़ैर ममलूक में कर भी सकता हो तो ऐसे फ़ेअ्ल से ख़्यार बातिल न होगा और अगर वह फ़ेअ्ल ऐसा हो कि इम्तेहान के लिये उसकी हाजत न हो या वह फ़ेअ्ल ग़ैर ममलूक में किसी सूरत में जाइज़ ही न हो तो उससे ख़्यार बातिल हो जायेगा मसलन घोड़े पर एक दफ़ा सवार हुआ या कपड़े को इसलिये पहना कि बदन पर ठीक आता है या नहीं या लोन्डी से काम कराया ताकि मालूम हो कि काम करना जानती है या नहीं तो इन से ख़्यार बातिल न हुआ और दोबारा सवारी ली या दोबारा कपड़ा पहना या दोबारा काम लिया तो ख़्यार साक़ित हो गया और अगर घोड़े पर एक मरतबा सवार होकर एक क़िस्म की रफ़्तार का इम्तेहान लिया दोबारा दूसरी रफ़्तार के लिये सवार हुआ या लोन्डी से दोबारा दूसरा काम लिया तो इख़्तेयार बाक़ी है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.39:– घोड़े पर सवार होकर पानी पिलाने लेगया या चारा के लिये गया या बाइअ् के पास वापस करने गया अगर यह काम बिग़ैर सवार हुए मुमकिन न थे तो इजाज़ते बैअ् नहीं ख़्यार बाक़ी है वरना यह सवार होना इजाज़त समझा जायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.40:– ज़मीन ख़रीदी उसमें मुश्तरी ने काश्त की तो उसका ख़्यार बातिल होगया और बाइअ् ने काश्त की तो बैअ् फ़स्ख़ होगई। (आलमगीरी)

मसअ्ला.41:– बशर्तेख़्यार मकान ख़रीदा और उसमें पहले से रहता था तो बाद की सुकूनत से ख़्यार बातिल न होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.42:– मबीअ् में मुश्तरी के पास ज़्यादती (इज़ाफ़ा) हुई उसकी दो सूरतें हैं ज़्यादते मुत्तसिला या मुनफ़सिला और हर एक मुतवल्लिदा है या ग़ैर मुतवल्लिदा अगर ज़्यादते मुत्तसिला मुतवल्लिदा है (ऐसा इज़ाफ़ा जो मबीअ् में खुद ब'खुद पैदा होजाये और उसके साथ मिला हुआ भी हो) मसलन जानवर फ़रबा होगया या मरीज़ था मर्ज़ जाता रहा या ज़्यादते मुत्तसिला ग़ैर मुतवल्लिदा है मसलन कपड़े को रंग दिया या सी दिया सत्तू में घी मिला दिया या ज़्यादते मुनफ़सिला मुतवल्लिदा हो मसलन जानवर के बच्चा पैदा हुआ, दूध दुहा, ऊन काटी इन सब सूरतों में मबीअ् को रद नहीं किया जा सकता और ज़्यादते मुनफ़सिला ग़ैरमुतवल्लिदा है मसलन गुलाम था उसने कुछ कसब (कमाया) किया उससे ख़्यार बातिल नहीं होता फिर अगर बैअ् को इख़्तेयार किया तो ज़्यादत भी उसी को मिलेगी और बैअ् को फ़स्ख़ करेगा तो अस्ल व ज़्यादत दोनों को वापस करना होगा। (आलमगीरी)

मबीअ् में जिस वस्फ़ की शर्त थी वह नहीं है

मसअ्ला.43:– मुश्तरी को ख़्यार था और मबीअ् पर क़ब्ज़ा कर चुका था फिर उसको वापस कर दिया बाइअ् कहता है यह वह नहीं है मुश्तरी कहता है कि वही है तो क़सम के साथ मुश्तरी का क़ौल मोअ्तबर है और अगर बाइअ् को यक़ीन है कि यह वह चीज़ नहीं जब भी बाइअ् ही उसका मालिक होगया और यह बाइअ् के तौर पर बैअ् तआती हुई। (आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.44:– गुलाम को इस शर्त के साथ ख़रीदा कि बावर्ची है या मुन्शी है मगर मालूम हुआ कि वह ऐसा नहीं तो मुश्तरी को इख़्तेयार है कि उसे पूरे दामों में लेले या छोड़दे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.45:– बकरी ख़रीदी इस शर्त के साथ कि गाभिन है या इतना दूध देती है तो बैअ़ फ़ासिद है और अगर यह शर्त है कि ज़्यादा दूध देती है तो बैअ़ फ़ासिद नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.46:– एक मकान ख़रीदा इस शर्त पर कि पुख़्ता ईंटों से बना हुआ है वह निकला ख़ाम (कच्चा) या बाग़ ख़रीदा इस शर्त पर कि उसके कुल दरख़्त फलदार हैं उनमें एक दरख़्त फलदार नहीं है या कपड़ा ख़रीदा इस शर्त पर कि कुसुम का रंगा हुआ है वह ज़अ्फ़रान का रंगा हुआ

निकला इन सब सूरतों में बैअ़ फ़ासिद है या ख़च्चर ख़रीदा इस शर्त पर कि मादा है वह नर था तो बैअ़ जाइज़ है मगर मुश्तरी को इख़्तेयार है कि ले या न ले और अगर नर कहकर ख़रीदा और मादा निकला या गधा या ऊँट कहकर ख़रीदा और निकली गधी या ऊँटनी तो इन सूरतों में बैअ़ जाइज़ है और मुश्तरी को ख़्यारे फ़स्ख़ भी नहीं कि जिन्स मुख़्तलिफ़ नहीं है और जो शर्त थी मबीअ़ इस से बेहतर है। (फ़तहुलक़दीर, दुर्रेमुख़्तार)

ख़्यारे तअ़ईन(किसी चीज़ को ख़ास करना)

मसअ्ला.47:– चन्द चीज़ों में से एक ग़ैर मुअ़य्यन को ख़रीदा यूँ कहा कि इनमें से एक को ख़रीदता हूँ तो मुश्तरी उनमें से जिस एक को चाहे मुतअ़य्यन करले उसको ख़्यारे ताईन कहते हैं उसके लिये चन्द शर्ते हैं अव्वल यह कि उन चीज़ों में से एक को ख़रीदे यह नहीं कि मैंने इन सबको ख़रीदा दोम यह कि दो चीज़ में से एक या तीन चीज़ों में से एक को ख़रीदे चार में से एक ख़रीदी तो सही़ह़ नही, सोम यह कि यह तस़रीह़ हो कि उन में से जो तू चाहे लेले चहारूम यह कि उसकी मुद्दत भी तीन दिन तक होनी चाहिये पन्जुम यह कि क़ीमती चीज़ों में हो मिस्ली चीज़ों में न हो, रहा यह अम्र कि ख़्यारे ताईन के साथ ख़्यारे शर्त की भी ज़रूरत है या नहीं इस में उ़लमा का इख़्तेलाफ़ है बहर ह़ाल अगर ख़्यारे ताईन के साथ ख़्यारे शर्त भी मज़कूर हो और मुश्तरी ने ब'मुक़तज़ाये ताईन एक को मुअ़य्यन कर लिया तो ख़्यारे शर्त का हुक्म बाक़ी है कि अन्दुरूने मुद्दत उस एक में भी बैअ़ फ़स्ख़ कर सकता है और अगर मुद्दत ख़त्म होगई और ख़्यारे शर्त की रू से बैअ़ को फ़स्ख़ न किया तो बैअ़ लाज़िम होगई और मुश्तरी पर लाज़िम होगा कि अब तक मुतअ़य्यन नहीं किया है तो अब मुअ़य्यन करले। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार, फ़तह)

मसअ्ला.48:– ख़्यारे ताईन बाइअ़ के लिये भी हो सकता है उसकी सूरत यह है कि मुश्तरी ने दो या तीन चीज़ों में से एक को ख़रीदा और बाइअ़ से कह दिया कि इनमें से तू जो चाहे देदे बाइअ़ ने जिस एक को देदिया मुश्तरी को उसका लेना लाज़िम होजायेगा हाँ बाइअ़ वह दे रहा है जो ऐबदार है और मुश्तरी लेने पर राज़ी है तो ख़ैर वरना बाइअ़ मजबूर नहीं कर सकता और अगर मुश्तरी ऐबदार के लेने पर तैयार न हुआ तो उनमें से दूसरी चीज़ लेने पर भी बाइअ़ अब उसको मजबूर नहीं कर सकता और अगर दोनों चीज़ों में से एक बाइअ़ के पास हलाक होगई तो जो बाक़ी है वह मुश्तरी पर लाज़िम कर सकता है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.49:– ख़्यारे ताईन के साथ बैअ़ हुई और मुश्तरी ने दोनों चीज़ों पर क़ब्ज़ा किया तो उनमें एक मुश्तरी की है और एक बाइअ़ की जो उसके पास बतौर अमानत है यानी अगर मुश्तरी के पास दोनों हलाक होगईं तो एक का जो समन तय पाया है वही देना पड़ेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.50:– ख़्यारे ताईन के साथ एक चीज़ ख़रीदी थी और मुश्तरी मरगया तो यह ख़्यार वारिस की तरफ़ मुन्तक़िल होगा यानी वारिस दोनों को रद करके बैअ़ फ़स्ख़ करना चाहे ऐसा नहीं हो सकता बल्कि जिस एक को चाहे पसन्द करले और क़ब्ज़ा दोनों पर हो चुका है तो दूसरी उसके पास अमानत है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.51:– बाइअ़ के पास दोनों चीज़ें हलाक होगईं तो बैअ़ बातिल होगई और एक बाक़ी है एक हलाक होगई तो जो बाक़ी है वह बैअ़ के लिये मुतअ़य्यन होगई। (आलमगीरी)

मसअ्ला.52:– मुश्तरी ने दोनों पर क़ब्ज़ा कर लिया एक हलाक होगई एक बाक़ी है तो जो हलाक हुई वह बैअ़ के लिये मुतअ़य्यन होगई और जो बाक़ी है वह अमानत है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.53:– ख़्यारे ताईन के साथ बैअ़ हुई और अभी तक दोनों चीज़ें बाइअ़ ही के हाथ में थीं कि उन में से एक में ऐब पैदा होगया अब मुश्तरी को इख़्तेयार है कि ऐब वाली पूरे दामों से ले या दूसरी लेले या किसी को न ले, दोनों में ऐब पैदा होगया जब भी यही हुक्म है, और अगर मुश्तरी क़ब्ज़ा कर चुका है और एक ऐबदार होगई तो यह बैअ़ के लिये मुतअ़य्यन है और दुसरी अमानत

और दोनों ऐबदार होगईं अगर आगे पीछे ऐब पैदा हुआ तो जिस में पहले ऐब पैदा हुआ वह बैअ् के लिये मुतअय्यन है और एक साथ दोनों में ऐब पैदा हुआ तो बैअ् के लिये अभी तक कोई मुतअय्यन नहीं जिस एक को चाहे मुअय्यन करले और दोनों को रद करना चाहे तो नहीं कर सकता(आलमगीरी)
मसअ्ला.54:– दो कपड़े थे और क़ब्ले ताईन मुश्तरी ने एक को रंग दिया तो यही बैअ् के लिये मुतअय्यन हो गया। (आलमगीरी)

ख़रीदार ने दाम तय करके बिग़ैर बैअ् किये चीज़ पर क़ब्ज़ा किया

मसअ्ला.55:– ख़रीदार ने किसी चीज़ का नर्ख़ और समन तय कर लिया मगर अभी ख़रीद ो फ़रोख़्त नहीं हुई और चीज़ पर क़ब्ज़ा कर लिया यह चीज़ उसकी ज़मान में है हलाक व ज़ाएअ् हो जाये तो उसका तावान देना होगा और यह तावान उस शय की वाजिबी क़ीमत होगा। ख़्वाह यह क़ीमत उतनी ही हो जितना समन क़रार पाया है या उससे ज़्यादा या कम हो। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.56:– ग्राहक ने बाइअ् से यह ठहरा लिया है कि चीज़ हलाक हो जायेगी तो मैं ज़ामिन नहीं यानी तावान नहीं दूँगा इस सूरत में भी तावान देना पड़ेगा और वह शर्त करना बेकार है(दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.57:– मुश्तरी ने किसी चीज़ को ख़रीदने के लिये वकील किया वकील दाम तय करके बिग़ैर बैअ् किये मुअक्किल को दिखाने के लिये लाया मुअक्किल को दिखाई उसने ना'पसन्द की और वापस करदी वह चीज़ वकील के पास हलाक होगई वकील पर तावान होगा और मुअक्किल से रुजूअ् नहीं कर सकता हाँ अगर मुअक्किल ने कह दिया था कि दाम तय करके पसन्द कराने के लिये मेरे पास लाना तो जो कुछ वकील ने तावान दिया है मुअक्किल से वसूल करेगा। (ख़ानिया)
मसअ्ला.58:– ख़रीदार ने दुकानदार से थान तलब किया उसने तीन थान दिये और हर एक का दाम बता दिया थान दस का है, यह बीस का है, यह तीस का है इन्हें लेजाओ जो उनमें पसन्द करोगे तुम्हारे हाथ बैअ् है वह तीनों मुश्तरी के पास हलाक होगये अगर वह सब एक दम हलाक हुए या आगे पीछे ज़ाएअ् हुए मगर यह मालूम नहीं कि पहले कौनसा हलाक हुआ तो हर एक थान की तिहाई क़ीमत तावान देगा और अगर मालूम है कि पहले फुलां थान ज़ाएअ् हुआ तो उसी का तावान देगा बाक़ी दो थान अमानत थे उनका तावान नहीं और अगर दो हलाक हुए और मालूम नहीं पहले कौन हलाक हुआ तो दोनों में हर एक की निस्फ़ क़ीमत तावान दे और तीसरा थान अमानत है उसे वापस करदे और अगर एक हलाक हुआ तो उसका तावान दे बाक़ी दो थान वापस करदे।(ख़ानिया)
मसअ्ला.59:– दाम तय करके चीज़ को ले जाने से तावान उस वक़्त लाज़िम आता है जब उसको ख़रीदने के इरादे से लेगया और हलाक होगई वरना नहीं मसलन दुकानदार ने ग्राहक से कहा यह लेजाओ तुम्हारे लिये दस को है ख़रीदार ने कहा लाओ उसको देखूंगा या फुलां शख़्स को दिखाऊँगा यह कहकर लेगया और हलाक होगई तो तावान नहीं यह अमानत है और यह कहकर ले गया लाओ पसन्द होगा तो ले लूँगा और ज़ाएअ् होगई तो तावान देना होगा। (रद्दुलमुह्तार)
मसअ्ला.60:– दुकानदार से थान मांगकर लेगया कि अगर पसन्द हुआ तो ख़रीद लूंगा और उसके पास हलाक होगया तो तावान नहीं और अगर यह कहकर लेगया कि पसन्द होगा तो दस रुपये में ख़रीद लूंगा वह हलाक होगया तो तावान देना होगा दोनों में फ़र्क़ यह है कि पहली सूरत में चूँकि समन का ज़िक्र नहीं यह क़ब्ज़ा बर वजहे ख़रीदारी नहीं हुआ और दूसरी में समन मज़कूर है लिहाज़ा ख़रीदारी के तौर पर क़ब्ज़ा है। (फतहुलक़दीर)
मसअ्ला.61:– दाम ठहराकर बिग़ैर बैअ् किये जिस चीज़ को लेगया वह हलाक नहीं हुई बल्कि उसने ख़ुद हलाक की मसलन खाने की चीज़ थी उसने खाली कपड़ा था उसने क़तअ् (कटवाके) कराके सिलवा लिया तो समन देना होगा यानी जो ठहरा है वह देना होगा हाँ अगर बाइअ् ने मुश्तरी की रज़ा'मन्दी ज़ाहिर करने से पहले यह कह दिया कि मैंने अपनी बात वापस ली अब मैं नहीं बेचूँगा उसके बाद मुश्तरी ने सर्फ़ कर डाला तो क़ीमत वाजिब है या रज़ा'मन्दी ज़ाहिर करने से

पहले मुश्तरी मरगया उसके वारिस ने सर्फ़ किया जब भी क़ीमत वाजिब है। (रद्दुलमुहतार)
मसअ्ला.62:– देखने या दिखाने के लिये लाया है और यह नहीं कहा कि पसन्द होगा तो ले लूँगा और ख़र्च कर डाला तो क़ीमत देनी होगी। (रद्दुलमुख़्तार)
मसअ्ला.63:– एक शख़्स ने दूसरे से मसलन हज़ार रूपये क़र्ज़ माँगे और कोई चीज़ रेहन के लिये देदी और अभी क़र्ज़ उसने नहीं दिया है कि चीज़ हलाक होगई यहाँ देखा जायेगा कि क़र्ज़ और उस चीज़ की क़ीमत कौन कम है जो कम है उसी के बदले में वह चीज़ हुई यानी वह चीज़ ग्यारह सौ की थी तो एक हज़ार मुरतहिन को उसके मुआवज़े में देने होंगे और नौ सौ की थी तो नौ सौ, और अगर राहिन ने यह कहा कि यह चीज़ रखलो और मुझे क़र्ज़ देदो मगर कर्ज़ की कोई रक़म बयान नहीं की थी और चीज़ हलाक होगई तो कुछ तावान नहीं। (रद्दुलमुख़्तार)

ख़्यारे रूयत का बयान

कभी ऐसा होता है कि चीज़ को बिग़ैर देखे भाले ख़रीद लेते हैं और देखने के बाद वह चीज़ ना'पसन्द होती है ऐसी हालत में शरअ् मुतह्हरा ने मुश्तरी को यह इख़्तेयार दिया है कि अगर देखने के बाद चीज़ को न लेना चाहे तो बैअ् को फ़स्ख़ करदे उसको ख़्यारे रूयत कहते हैं। दारे क़ुत्नी व बैहक़ी अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाया जिसने ऐसी चीज़ ख़रीदी जिसको देखा न हो तो देखने के बाद उसे इख़्तेयार है ले या छोड़ दे, इस ह़दीस की सनद ज़ईफ़ है मगर ह़दीस को खुद इमामे आज़म अबू ह़नीफ़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने भी रिवायत किया है और उसकी सनद सह़ीह़ है नीज़ यह कि ह़ज़रत उ़समाने ग़नी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने त़लह़ा बिन उ़बैदुल्ला रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के हाथ अपनी ज़मीन जो बसरा में थी बैअ् की थी किसी ने त़लह़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से कहा आप को इस बैअ् में नुक़सान है उन्होंने कहा मुझे इस बैअ् में ख़्यार है कि बिग़ैर देखे मैंने ख़रीदी है और ह़ज़रत उ़समान से भी किसी ने कहा आपको इस बैअ् में टोटा है उन्होंने भी फ़रमाया मुझे ख़्यार है क्योंकि मैंने बिग़ैर देखे बैअ् करदी है इस मामले में दोनों स़ाह़िबों ने जुबैर बिन मुत़इ़म रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु को ह़कम बनाया उन्होंने त़लह़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के मुवाफ़िक़ फ़ैसला किया यह वाक़िआ़ गिरोहे स़ह़ाबा के सामने हुआ किसी ने इस पर इन्कार न किया लिहाज़ा बमन्ज़िले इजमाअ् के इसको तसव्वुर करना चाहिये। (हिदाया, तबयीन, दुरर, गुरर)
मसअ्ला.1:– बाइअ् ने ऐसी चीज़ बेची जिसको उसने देखा नहीं मसलन उसको मीरास में कोई शय मिली है और बे देखे बेच डाली बैअ् स़ह़ीह़ है और उसको यह इख़्तेयार नहीं कि देखने के बाद बैअ् को फ़स्ख़ करदे। (दुरर, गुरर)
मसअ्ला.2:– जिस मज्लिस में बैअ् हुई उसमें मबीअ् मौजूद है मगर मुश्तरी ने देखी नहीं मसलन पीपे में घी या तेल था, बोरियों में ग़ल्ला था, या गठरी में कपड़ा था और खोलकर देखने की नोबत नहीं आई या वहाँ मबीअ् मौजूद न हो इस वजह से नहीं देखी बहर ह़ाल देखने के बाद ख़रीदार को ख़्यार ह़ासिल है चाहे मबीअ् बैअ् को जाइज़ करे या फ़स्ख़ करदे, मबीअ् को बाइअ् ने जैसा बताया था वैसी ही है या उसके ख़िलाफ़ दोनों सूरतों में देखने के बाद बैअ् को फ़स्ख़ कर सकता है। (दुरर)
मसअ्ला.3:– अगर मुश्तरी ने देखने से पहले अपनी रज़ा'मन्दी का इज़हार किया या कह दिया कि मैंने अपना ख़्यार बात़िल कर दिया जब भी देखने के बाद फ़स्ख़ करने का ह़क़ ह़ासिल है कि यह ख़्यार ही देखने के वक़्त मिलता है देखने से पहले ख़्यार था ही नहीं लिहाज़ा उसको बात़िल करने के कोई मअ्ना नहीं। (हिदाया)
मसअ्ला.4:– ख़्यारे रूयत के लिये किसी वक़्त की तह़दीद (ह़द) नहीं है कि उसके गुज़रने के बाद ख़्यार बाक़ी न रहे बल्कि यह ख़्यार देखने पर है जब देखे। (दुरर) और देखने के बाद फ़स्ख़ का ह़क़ उस वक़्त तक बाक़ी रहता है जब तक स़राहतन या दलालतन रज़ा'मन्दी न पाई जाये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– ख़्यारे रूयत चार मक़ाम में साबित होता है, (1)किसी शय मुअ़य्यन की ख़रीदारी, (2)इजारा (3)तक़सीम, (4)माल का दावा था और शय मुअ़य्यन पर मुसालहत होगई, अगर क़िसास का दअ्वा हो और किसी शय पर मुसालहत हुई तो ख़्यारे रूयत नहीं दैन में ख़्यारे रूयत नहीं लिहाज़ा मुसलम फ़ी चूंकि ऐन नही बल्कि दैन यानी वाजिब फ़िज़्ज़िम्मा है। (जिसका बयान इन्शाअल्लाह आयेगा) इस में ख़्यारे रूयत नहीं, रूपये और अशर्फ़ियों में भी कि यह अज़ क़बीले दैन हैं ख़्यारे रूयत नहीं, हाँ अगर सोने चांदी के बर्तन हों तो ख़्यारे रूयत है, बैअ़े सलम का रासुल'माल अगर ऐन हो तो मुसलम इलैह के लिये ख़्यारे रूयत साबित होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– अजनासे मुख़्तलिफ़ा (अलग अलग क़िस्म की चीज़ें) की तक़सीम अगर शुरका में हुई तो इसमें ख़्यारे रूयत, ख़्यारे शर्त, ख़्यारे ऐब तीनों हो सकते हैं। और ज़वातुलअम्साल की तक़सीम में सिर्फ़ ख़्यारे ऐब होगा बाक़ी दोनों नहीं होंगे, और ज़वातुलअम्साल जब एक जिन्स के हों मसलन एक क़िस्म के कपड़े या गायें या बकरियां इन में भी तीनों ख़्यार साबित होंगे। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.7:– जो अ़क्द फ़स्ख़ करने से फ़स्ख़ न हो जैसे महर और क़िसास का बदले सुलह और बदले खुलअ् यह चीज़ें अगरचे ऐन हों इनमें ख़्यारे रूयत साबित नहीं। (फ़तह)

मसअ्ला.8:– बे देखी हुई चीज़ ख़रीदी है देखने से पहले भी उसकी बैअ् फ़स्ख़ कर सकता है क्योंकि यह बैअ् मुश्तरी के ज़िम्मे लाज़िम नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– अगर मुश्तरी ने मबीअ् पर क़ब्ज़ा कर लिया और देखने के बाद सराहतन या दलालतन अपनी रज़ा'मन्दी ज़ाहिर की या उसमें कोई ऐब पैदा होगया या ऐसा तसर्रूफ़ कर दिया जो क़ाबिले फ़स्ख़ नहीं है मसलन आज़ाद कर दिया या उस में दूसरे का हक़ पैदा होगया मसलन दूसरे के हाथ बिला शर्ते ख़्यार बैअ् कर दिया या रेहन (गिरवीं रखना) रख दिया या इजारा (किराये पर देना) पर दे दिया इन सब सूरतों में ख़्यारे रूयत जाता रहा अब बैअ् को फ़स्ख़ नहीं कर सकता और अगर उसको बैअ् किया मगर अपने लिये ख़्यारे शर्त कर लिया या बेचने के लिये उसका नर्ख़ किया या हिबा किया मगर क़ब्ज़ा नहीं दिया और यह बातें देखने के बाद हुईं तो दलालतन रज़ा'मन्दी पाई गई अब बैअ् को फ़स्ख़ नहीं कर सकता और देखने से पहले हुईं तो ख़्यार बाक़ी है देखने के बाद मबीअ् पर क़ब्ज़ा कर लेना भी दलीले रज़ा'मन्दी है। (आलमगीरी, रद्दुलमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– मबीअ् पर क़ब्ज़ा करके देखने से पहले बैअ् करदी फिर ऐब की वजह से मुश्तरी–ए–सानी ने वापस करदी अगरचे यह वापसी क़ज़ा–ए–क़ाज़ी से हो या रेहन रखने के बाद उसे छुड़ा लिया या इजारा किया था उसे तोड़ दिया तो ख़्यारे रूयत जो उन तसर्रूफ़ात की वजह से जा चुका था वापस न होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– मबीअ् का कोई जुज़ उसके हाथ से निकल गया या उसमें कमी या ज़्यादती हुई चाहे ज़्यादते मुत्तसिला हो या मुन्फ़सिला ख़्यार बातिल होगया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– बे देखे हुए खेत ख़रीदा और उसको आरियत देदिया या मुस्ताजिर ने उसे बोया ख़्यारे रूयत बातिल होगया और अगर मुसतईर ने अब तक बोया नहीं तो ख़्यार साक़ित नहीं, और अगर उस खेत का कोई काश्तकार अजीर है जिसने मुश्तरी की रज़ा'मन्दी से काश्त की यानी मुश्तरी ने उसे पहली हालत पर छोड़ दिया मना न किया जब भी ख़्यार साक़ित होगया, कपड़ों की एक गठरी ख़रीदी उनमें से एक को पहन लिया ख़्यारे रूयत बातिल होगया। (रद्दुलमुहतार, आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– एक मकान ख़रीदा जिसको देखा नहीं उसके पड़ोस में एक मकान फ़रोख़्त हुआ उसने शुफ़आ में उसे ले लिया उसके बाद भी पहले मकान के मुतअ़ल्लिक ख़्यारे रूयत बाक़ी है देखने के बाद चाहे तो बैअ् को फ़स्ख़ कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.14:– मुश्तरी ने जब तक ख़्यारे रूयत साक़ित न किया हो बाइअ् समन का उस से मुतालबा नहीं कर सकता। (फ़तह)

मसअ्ला.15:– मुश्तरी ख़रीदने के बाद मरगया तो वुरसा को मीरास में ख़्यारे रूयत हासिल न होगा यानी वुरसा को यह हक न होगा कि बैअ् को फस्ख करदें। (आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– जिस चीज़ को पहले देख चुका है अगर उस में कुछ तगय्युर (तब्दीली) पैदा हो गया है तो ख़्यारे रूयत हासिल है और अगर वैसी ही है तो ख़्यार हासिल नहीं हाँ अगर वक्ते अक्द उसे यह मालूम न हो कि वही चीज़ है जिसे मैं ख़रीदता हूँ तो ख़्यार हासिल होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.17:– बाइअ् कहता है कि यह चीज़ वैसी ही है जैसी तूने देखी थी उसमें तगय्युर नहीं आया है और मुश्तरी कहता है कि उसमें तगय्युर आगया तो मुश्तरी को गवाह से साबित करना पड़ेगा कि तगय्युर आगया है गवाह न पेश करे तो कसम के साथ बाइअ् का कौल मोअ्तबर होगा यह उस सूरत में है कि मुश्तरी को देखने को ज़्यादा जमाना गुज़रा हो और मालूम हो कि इतने जमाने में उमूमन ऐसी चीज़ में तगय्युर नहीं होता और अगर इतना ज़्यादा ज़माना गुज़र गया है कि आदतन तगय्युर ऐसी चीज़ में हो ही जाता है मसलन लोन्डी है जिसको देखे हुये बीस बर्ष का ज़माना गुज़र चुका है और वह उस वक्त जवान थी तो मुश्तरी की बात मानी जायेगी, बाइअ् कहता है ख़रीदने के वक्त तूने देख लिया था मुश्तरी कहता है नहीं देखा था तो कसम के साथ मुश्तरी की बात मानी जायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– ज़िब्ह की हुई बकरी की कलेजी ख़रीदी मगर अभी उसकी खाल नहीं निकाली गई है तो बैअ् सहीह है और बाइअ् पर लाज़िम है कि कलेजी निकाल कर दे और मुश्तरी को ख़्यारे रूयत हासिल होगा और अगर बकरी अभी ज़िबह नहीं हुई है तो कलेजी की बैअ् दुरूस्त नहीं अगरचे बाइअ् कहता है कि मैं ज़िब्ह करके निकाल देता हूँ। (आलमगीरी)

मसअ्ला.19:– बाइअ् दो थान अलग–अलग दो कपड़ों में लपेट कर लाया आर मुश्तरी से कहता है यह वही दोनों थान हैं जिनको तुमने कल देखा था मुश्तरी ने कहा इस थान को दस रूपये में ख़रीदा और उसको दस रूपये में ख़रीदा और ख़रीदते वक्त नहीं देखा तो ख़्यारे रूयत हासिल नहीं और अगर दोनों मुख़्तलिफ़ दामों से ख़रीदे तो ख़्यार हासिल है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.20:– दो कपड़े ख़रीदे और दोनों को देखकर एक की निस्बत कहता है यह मुझे पसन्द है उससे ख़्यार बातिल नहीं हुआ और अभी ख़्यार बदस्तूर बाकी है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.21:– दो शख़्सों ने एक चीज़ ख़रीदी दोनों ने उसे देखा नहीं था अब देखकर एक ने रज़ामन्दी ज़ाहिर की दूसरा वापस करना चाहता है वह तनहा वापस नहीं कर सकता दोनों मुत्तफ़िक होकर वापस करना चाहें वापस कर सकते हैं और अगर एक ने देखा था एक ने नहीं जिसने नहीं देखा था देखकर वापस करना चाहता है जब भी दोनों मुत्तफ़िक होकर वापस कर सकते हैं और अगर उसके देखने से पहले ही देखने वाले ने कह दिया कि मैं राज़ी हूँ मैंने बैअ् को नाफ़िज़ कर दिया तो दूसरे का ख़्यार बातिल नहीं होगा मगर पूरी मबीअ् वापस करनी होगी।(आलमगीरी)

मसअ्ला.22:– एक थान देखा था बाकी नहीं देखे थे और सब ख़रीद लिये तो ख़्यार है मगर वापस करना चाहे तो सब वापस करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.23:– ख़्यारे रूयत की वजह से बैअ् फस्ख़ करने में न काज़ी की कज़ा दरकार है न बाइअ्की रज़ामन्दी की हाजत। (आलमगीरी)

मसअ्ला.24:– मुश्तरी ने ऐन (अस्ल चीज़) में कोई ऐसा तसर्रूफ किया जिससे उसमें नुकसान पैदा हो जाये और उसको इल्म न था कि यह वही चीज़ है जो मैंने ख़रीदी है मसलन भेड़ की ऊन तराश ली या कपड़े को पहना जिससे उसमें नुकसान आगया तो ख़्यार जाता रहा, मुश्तरी ने बे देखे चीज़ ख़रीदी बाइअ् ने वही चीज़ मुश्तरी के पास अमानत रखदी और मुश्तरी को यह मालूम न हुआ कि यह वही चीज़ है फिर वह चीज़ मुश्तरी के पास हलाक होगई तो मुश्तरी का कब्ज़ा होगया और समन देना पड़ेगा और मुश्तरी ने अपना कब्ज़ा करके बाइअ् के पास अमानत रखदी और अभी तक

अपनी रज़ा'मन्दी ज़ाहिर नहीं की है और हलाक होगई जब भी मुश्तरी को समन देना पड़ेगा (आलमगीरी)
मसअ्ला.25:– मौज़े या जूते ख़रीदे थे मुश्तरी सो रहा था बाइअ् ने उसे सोते में पहना दिया और वह उठा पहने हुए चला अगर उस चलने से कुछ नुक़सान आगया ख़्यार बातिल होगया। (आलमगीरी)
मसअ्ला.26:– मुर्ग़ी ने मोती निगल लिया उसे मोती के साथ बेचना चाहे तो बैअ् दुरूस्त नहीं अगरचे मुश्तरी ने मोती देखा हो और मुर्ग़ी मरगई और मोती को बेचा तो बैअ् सहीह है और मुश्तरी ने मोती न देखा हो तो ख़्यारे रूयत हासिल है। (ख़ानिया)
मसअ्ला.27:– ख़्यार की वजह से बैअ् फ़स्ख़ करने में यह शर्त है कि बाइअ् को फ़स्ख़ का इल्म हो जाये क्योंकि अगर ऐसा न हुआ तो वह यही समझता रहा कि बैअ् होगई और दुसरा ग्राहक नहीं तलाश करेगा और उसमें उसके नुक़सान का एहतिमाल (शक) है। (दुर्रेमुख़्तार)

मबीअ् में क्या चीज़ देखी जायेगी

मसअ्ला.28:– मबीअ् के देखने से यह मतलब नहीं कि वह पूरी पूरी देख ली जाये उसका कोई जुज़ देखने से रह न जाये बल्कि यह मुराद है कि वह हिस्सा देख लिया जाये जिसका मक़सूद के लिये देखना ज़रूरी था मसलन मबीअ् बहुत सी चीज़ें हैं और उनके अफ़राद में तफ़ावुत (फ़र्क़) न हो सब एक सी हों जैसी कैली और वज़नी चीज़ें जिसका नमूना पेश किया जाता हो यहाँ बाज़ का देखना काफ़ी है मसलन ग़ल्ला की ढेरी है उसका ज़ाहिरी हिस्सा देख लिया काफ़ी है हाँ अगर अन्दुरूनी हिस्सा वैसा न हो बल्कि ऐबदार हो तो ख़्यारे रूयत और ख़्यारे ऐब दोनों मुश्तरी को हासिल हैं और अगर ऐबदार न हो कम दर्जा का हो जब भी ख़्यारे रूयत हासिल है अगर्चे ख़्यारे ऐब नहीं, यूँही चन्द बोरियों में ग़ल्ला भरा हुआ है एक में से देख लेना काफ़ी है जबकि बाक़ियों का उससे कम दर्जा का न हो। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)
मसअ्ला.29:– मुश्तरी कहता है कि बाक़ी वैसा नहीं जैसा मैंने देखा था और बाइअ् कहता है वैसा ही है अगर नमूना मौजूद हो अहले बसीरत को दिखाया जाये वह जो कहें वही मोअ्तबर है और नमूना मौजूद न हो तो मुश्तरी को गवाह लाना पड़ेगा वरना बाइअ् का क़ौल मोअ्तबर है, यह उस वक़्त है कि ग़ल्ला वहीं मौजूद हो बोरियों में भरा हुआ हो और अगर ग़ल्ला वहाँ न हो बाइअ् ने नमूना पेश किया और बैअ् होगई और नमूना ज़ाएअ् होगया फिर बाइअ् बाक़ी ग़ल्ला लाया और यह इख़्तिलाफ़ पैदा हुआ तो मुश्तरी का क़ौल मोअ्तबर है। (रद्दुलमुख़्तार)
मसअ्ला.30:– लोन्डी, गुलाम में चेहरे का देखना काफ़ी है और अगर बाक़ी आज़ा देखे चेहरा नहीं देखा तो काफ़ी नहीं, इन में हाथ, ज़बान, दांत, बालों का देखना शर्त नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, वग़ैरा)
मसअ्ला.31:– सवारी के जानवर में चेहरा और पुट्ठे देखना काफ़ी है सिर्फ़ चेहरा देखना काफ़ी नहीं पांव और सुम और दुम और अयाल (हर चौपाय ख़ुसूसन गर्दन की पुश्त पर लटके हुए बाल) देखना ज़रूरी नहीं। (आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)
मसअ्ला.32:– पालने के लिये बकरी ख़रीदता है उसका तमाम बदन और थन का देखना ज़रूरी है यूँही गाय, भैंस, दूध के लिये ख़रीदता है तो थन का देखना ज़रूरी है और गोश्त के लिये बकरी ख़रीदता है तो उसे टटोलना ज़रूरी है दूर से देखली है जब भी ख़्यारे रूयत हासिल होगा (आलमगीरी)
मसअ्ला.33:– कपड़ा अगर इस क़िस्म का हो कि अन्दर बाहर सब यकसां हो जैसे मल'मल, लट्ठा, मारकीन, सरज, कश्मीरह वग़ैरह जिनका नमूना पेश किया जाता है तो थान को उपर से देख लेना काफ़ी है खोलकर अन्दर से देखने की ज़रूरत नहीं बल्कि ऐसे कपड़ों में एक थान का देख लेना काफ़ी है सब थानों को देखने की ज़रूरत नहीं अलबत्ता अगर अन्दर ख़राब निकले या ऐब हो तो ख़्यारे रूयत या ख़्यारे ऐब हासिल होगा, अगर मबीअ् मुख़्तलिफ़ क़िस्म के थान हों तो हर एक क़िस्म का एक एक थान देख लेना ज़रूर है और उस क़िस्म का हो कि सब हिस्सा एक तरह का न हो जैसे चिकन, और गुल'बदन के थान कि ऊपर परत में बूटियाँ ज़्यादा होती हैं और अन्दर

कम तो खोल कर सब तहें देखी जायेंगी सिर्फ़ ऊपर की परत देखना काफ़ी नही। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.34:– कालीन के ऊपर का रूख़ देख लेना जरूर है नीचे का रूख़ देखने से ख़्यारे रूयत बातिल न होगा और दरी और दीगर फुरूश में कुल देखना जरूरी है, रज़ाई लिहाफ़ और जुब्बा या कोट जिस में अस्तर हो अबरा देखना ज़रूरी है अस्तर देखना काफी नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.35:– मकान में अन्दर बाहर नीचे ऊपर पाख़ाना, बावर्चीख़ाना सबका देखना जरूरी है क्योंकि उनके मुख़्तलिफ़ होने में कीमत मुख़्तलिफ़ हो जाया करती है बाग में भी बाहर से देख लेना काफ़ी नहीं अन्दुरूनी हिस्सा भी देखना ज़रूरी है और मुख़्तलिफ़ किस्म के दरख़्त हों तो हर एक किस्म के दरख़्त देखना और फलों का शीरीं व तुरूश (मीठा और खट्टा) मालूम कर लेना भी ज़रूरी है।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.36:– खाने की चीज़ हो तो चखना काफ़ी है और सूंघने की हो तो सूंघना चाहिये जैसे इत्र, खुश्बूदार तेल। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.37:– अ़ददयाते मुतक़ारेबा (जो चीजें गिनकर बेची जाती हैं और उनमें ज्यादा फर्क नहीं होता) मस्लन अण्डे, अख़रोट इनमें बाज़ का देख लेना काफ़ी है जबकि बाक़ी उससे खराब और कम दर्जे के न हों जो चीजें जमीन के अन्दर हों जैसे लहसुन, प्याज़, गाजर, आलू, जो चीजें तोलकर बेची जाती हैं उनमें खोदकर थोड़े से देखना काफ़ी है जबकि बाक़ी उससे कम दर्जे के न हों यह जबकि बाइअ् ने खोदकर दिखाये या मुश्तरी ने बाइअ् की इजाज़त से खोदे और अगर मुश्तरी ने बिला इजाजते बाइअ् खोद लेने और इतना खोदे जिनका कुछ समन हो तो ख़्यारे रूयत साक़ित होगया और अगर वह चीज़ गिन्ती से बिकती हो जैसे मूली तो बाज़ का देखना काफी नहीं जबकि बाइअ् ने उखाड़ीं और वह इतनी हैं जिनका कुछ समन है तो ख़्यार साक़ित होगया। (खानिया)

मसअ्ला.38:– ऐसी चीज़ जो ज़मीन में है बैअ् की बाइअ् कहता है अगर मैं खोदकर निकालता हूँ और तुम ना पसन्द करदो तो मेरा नुक़सान होगा और मुश्तरी कहता है अगर बिग़ैर तुम्हारी इजाज़त मैं खोदता हूँ और मेरे काम की न हुई तो फेर न सकूँगा और बैअ् लाज़िम होजायेगी ऐसी सूरत में अगर दोनों में कोई अपना नुक़सान गवारा करने के लिये तैयार होजाये तो ठीक वरना काजी बैअ् को फ़स्ख़ कर देगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.39:– शीशी में तेल था और शीशी को देखा तो यह हक़ीक़तन तेल का देखना नहीं कि शीशा हायल है यूँही आईना देख रहा है और मबीअ् की सूरत उसमें दिखाई दी तो मबीअ् का देखना नहीं है और अगर मछली पानी में है जो बिला तकल्लुफ़ पकड़ी जा सकती है उसको ख़रीदा और पानी ही में उसे देख लिया बअ्ज़ों के नज़्दीक ख़्यारे रूयत बाक़ी न रहेगा कि मबीअ् देख ली और बअ्ज़ फुक़हा कहते हैं कि ख़्यार बाक़ी है क्योंकि पानी में अस्ली हालत मालूम नहीं होगी जितनी है उससे बड़ी मालूम होगी। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.40:– मुश्तरी ने किसी को क़ब्ज़ा के लिये वकील किया तो वकील का देखना काफ़ी है वकील ने देखकर पसन्द कर लिया तो न वकील को फ़स्ख़ का इख़्तेयार रहा न मोअक्किल (वकील बनाने वाले) को यह उस वक़्त है कि क़ब्ज़ा करते वक़्त वकील ने मबीअ् को देखा और अगर क़ब्ज़ा करते वक़्त वह चीज़ छुपी हुई थी बाद में उसे खोलकर देखा ताकि मुश्तरी का ख़्यार बातिल हो जाये तो यह देखना और पसन्द करना मुश्तरी के ख़्यार को बातिल न करेगा कि क़ब्ज़ा करने से उसकी वकालत ख़त्म होगई देखने का हक़ बाक़ी न रहा और अगर ख़रीदने के लिये वकील किया है तो वकील का देखना काफ़ी है कि वकील ने देखकर पसन्द कर लिया या ख़रीदने से पहले वकील ने देख लिया तो अब न वकील फ़स्ख़ कर सकता है न मुअक्किल यह उस सूरत में है कि ग़ैर मुअय्यन चीज़ ख़रीदने का वकील हो। और अगर मुअक्किल ने ख़रीदने के लिये चीज़ को मुअ़य्यन कर दिया हो कि फुलाँ चीज़ मसलन फुलाँ गुलाम या फुलाँ गाय या बकरी तो वकील को ख़्यारे रूयत हासिल नहीं। (हिदाया, आलमगीरी, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.41:– एक शख़्स ने एक चीज़ ख़रीदी मगर देखी नहीं दुसरे शख़्स को उसके देखने का वकील किया कि देखकर पसन्द करे या ना'पसन्द करे वकील ने देखकर पसन्द करली बैअ् लाज़िम होगई और ना'पसन्द की तो फ़स्ख़ कर सकता है। (रद्दुलमुहतार)
मसअ्ला.42:– किसी शख़्स को मुश्तरी ने क़ब्ज़ा के लिये क़ासिद बनाकर भेजा यानी उससे कहा कि बाइअ् के पास जाकर कह कि मुश्तरी ने मुझे भेजा है कि मबीअ् मुझे देदे इसका देखना काफ़ी नहीं यानी मुश्तरी अगर देखकर ना'पसन्द करे तो बैअ् को फ़स्ख़ कर सकता है।(दुर्रेमुख़्तार) वकील ने मबीअ् को वकालत से पहले देखा उसके बाद वकील होकर ख़रीदा तो उसे ख़्यारे रूयत हासिल होगा(आलमगीरी)
मसअ्ला.43:– अन्धे की बैअ् व शिरा (ख़रीद ो फ़रोख़्त) दोनों जाइज़ हैं अगर किसी चीज़ को बेचेगा तो ख़्यार हासिल न होगा और ख़रीदेगा तो ख़्यार हासिल होगा और मबीअ् उलट पलट कर टटोलना देखने के हुक्म में है कि टटोल लिया और पसन्द कर लिया तो ख़्यार साक़ित होगया और खाने की चीज़ का चखना और सूँघने की चीज़ का सूँघना काफ़ी है और जो चीज़ न टटोलने से मा़लूम हो न चखने से न सूँघने से जैसे ज़मीन मकान, दरख़्त, लोन्डी, गुलाम वहाँ उस चीज के औसाफ़ (ख़ूबियाँ) बयान करने होंगे जो औसाफ़ बयान कर दिये गये मबीअ् उनके मुताबिक़ है तो फ़स्ख़ नहीं कर सकता वरना फ़स्ख़ कर सकता है अन्धा मुश्तरी यह भी कर सकता है कि किसी को क़ब्ज़ा या ख़रीदने के लिये वकील करदे वकील का देख लेना उसके कायम मक़ाम हो जायेगा अन्धा किसी चीज़ को अपने लिये ख़रीदे या या दूसरे के लिये मसलन किसी ने अन्धे को वकील कर दिया दोनों सूरतों में ख़्यार हासिल होगया। (आलमगीरी, रद्दुलमुहतार)
मसअ्ला.44:– अन्धे के लिये मबीअ् के औसाफ़ (अच्छाई, बुराई) बयान कर दिये गये या उसने टटोलकर मा़लूम कर लिया और चीज़ पसन्द करली फिर वह बीना होगया तो अब उसे ख़्यारे रूयत हासिल नहीं होगा कि जो ख़्यार उसे हासिल था ख़त्म कर चुका, अँखयारे ने ख़रीदी थी और मबीअ् को देखने से पहले नाबीना होगया तो अब उसके लिये वही हुक्म है जो उस मुश्तरी का है कि ख़रीदते वक्त नाबीना था। (आलमगीरी)
मसअ्ला.45:– शय मुअ़य्यन की शय मुअ़य्यन (ख़ास चीज़ की ख़ास चीज़ से बैअ्) से बैअ् हुई मस्लन किताब को कपड़े के बदले में बैअ् किया तो ऐसी सूरत में बाइअ् व मुश्तरी दोनों को ख़्यारे रूयत हासिल है क्योंकि यहाँ दोनों मुश्तरी भी हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

ख़्यारे ऐब का बयान

हदीस् (1) इब्ने माजा ने वासिला रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायतत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया "जिसने ऐब वाली चीज़ बैअ् की और उसको ज़ाहिर न किया वह हमेशा अल्लाह तआ़ला की नाराज़गी में है" या फ़रमाया कि "फ़रिश्ते उस पर ला़नत करते हैं"।
हदीस (2) इमाम अह़मद व इब्ने माजा व हाकिम ने उ़क़बा बिन आ़मिर रदियल्लहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया "एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और जब मुसलमान अपने भाई के हाथ कोई चीज़ बेचे जिस में ऐब हो तो जब तक बयान न करे उसे बेचना ह़लाल नहीं"।
हदीस् (3) स़ह़ीह़ मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि हुज़ूर अक़्दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ग़ल्ला की ढेरी के पास गुज़रे उसमें हाथ डाल दिया हुज़ूर को उंगली में तरी मह़सूस हुई इरशाद फ़रमाया "ऐ ग़ल्ला वाले यह क्या है" उसने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह इस पर बारिश का पानी पड़ गया था इरशाद फ़रमाया कि "तूने भीगे हुए को ऊपर क्यों नहीं कर दिया कि लोग देखते जो धोखा दे वह हम में से नहीं"।
हदीस (4) शरहे सुन्ना में मुख़ल्लद बिन ख़फ़ाफ़ से मरवी है वह कहते हैं मैंने एक गुलाम ख़रीदा

था और उसको किसी काम में लगा दिया था फिर मुझे उसके ऐब पर इत्तिला हुई उसका मुक़द्दमा मैंने उमर बिन अब्दुलअज़ीज़ रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास पेश किया उन्होंने यह फ़ैसला किया कि गुलाम को मैं वापस करदूँ और जो कुछ आमदनी हुई हो वह भी वापस कर दूँ फिर मैं उरवा से मिला और उनको वाक़िआ सुनाया उन्होंने कहा शाम में उमर बिन अब्दुल अज़ीज के पास जाऊँगा उनसे जाकर यह कहा कि मुझको आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने यह ख़बर दी है कि ऐसे मुआमले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने यह फ़ैसला फ़रमाया है कि आमदनी ज़मान के साथ है यानी जिसके ज़मान में चीज़ हो वही आमदनी का मुस्तहिक़ है यह सुनकर उमर बिन अब्दुल अज़ीज ने यह फ़ैसला किया कि आमदनी मुझे वापस मिले।

हदीस (5) दारे क़ुतनी व हाकिम व बैहक़ी अबू सईद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "न ख़ुद को ज़रर पहुँचने दे न दूसरे को ज़रर पहुँचाये जो दूसरे को ज़रर पहुँचायेगा अल्लाह तआला उसको ज़रर देगा और जो दूसरे पर मशक्क़त डालेगा अल्लाह तआला उसपर मशक़्क़त डालेगा"।

हदीस (6) बैहक़ी अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि इरशाद फ़रमाया बेचने के लिये जो दूध हो उस में पानी न मिलाओ एक शख़्स (अगली उम्मतों में से जब कि शराब हराम न थी) एक बस्ती में शराब लेगया पानी मिलाकर उसे दो चन्द (दोगुना) कर दिया फिर उसने एक बन्दर ख़रीदा और दरिया का सफ़र किया जब पानी की गहराई में पहुँचा बन्दर अशर्फ़ियों की थैली उठाकर मस्तूल पर चढ़ गया, और थैली खोलकर एक अशरफ़ी पानी में फेंकता और एक कश्ती में इस तरह उसने अशर्फ़ियों की निस्फ़ निस्फ़ करदीं।

मसाइले फ़िक़हिय्या :– उर्फ़े शरअ् में ऐब जिसकी वजह से मबीअ् को वापस कर सकते हैं वह है जिससे ताजिरों की नज़र में चीज़ की क़ीमत कम हो जाये।

मसअ्ला.1:– मबीअ् में ऐब हो तो उसका ज़ाहिर कर देना बाइअ् पर वाजिब है छुपाना हराम व गुनाहे कबीरा है यूँही समन का ऐब मुश्तरी पर ज़ाहिर कर देना वाजिब है अगर बिग़ैर ऐब ज़ाहिर किये चीज़ बैअ् करदी तो मालूम होने के बाद वापस कर सकते हैं उसको ख़्यारे ऐब कहते हैं ख़्यारे ऐब के लिये यह ज़रूरी नहीं कि वक़्ते अक़्द यह कहदे कि ऐब होगा तो फेर देंगे कहा हो या न कहा हो बहर हाल ऐब मालूम होने पर मुश्तरी को वापस करने का हक़ हासिल होगा लिहाज़ा अगर मुश्तरी को न ख़रीदने से पहले ऐब पर इत्तिला थी न वक़्ते ख़रीदारी उसके इल्म में यह बात आई बाद में मालूम हुआ कि इस में ऐब है थोड़ा ऐब हो या ज़्यादा ख़्यारे ऐब हासिल है कि मबीअ् को लेना चाहे तो पूरे दाम पर लेले वापस करना चाहे वापस करदे यह नहीं होसकता कि वापस न करे बल्कि दाम कम करदे। (आलमगीरी)

ख़्यारे ऐब के शराइत

मसअ्ला.2:– ऐब पर मुश्तरी को इत्तिला क़ब्ज़ा से पहले ही होगई तो मुश्तरी बतौरे ख़ुद अक़्द को फ़स्ख़ कर सकता है उसकी ज़रूरत नहीं कि क़ाज़ी फ़स्ख़ का हुक्म दे तो फ़स्ख़ होसके बाइअ् के सामने इतना कहदेना काफ़ी है कि मैंने अक़्द को फ़स्ख़ करदिया या रद करदिया या बातिल कर दिया बाइअ् राज़ी हो या न हो अक़्द फ़स्ख़ होजायेगा और अगर मबीअ् पर क़ब्ज़ा कर चुका है तो बाइअ् की रज़ामन्दी या क़ज़ाये क़ाज़ी के बिग़ैर (क़ाज़ी के फ़ैसले के बिग़ैर) अक़्द फ़स्ख़ नहीं हो सकता। (हिदाया, आलमगीरी)

ऐब की सूरते

मसअ्ला.3:– मुश्तरी ने मबीअ् पर क़ब्ज़ा कर लिया था फिर ऐब मालूम हुआ और बाइअ् की रज़ामन्दी से अक़्द फ़स्ख़ हुआ तो उन दोनों के हक़ में फ़स्ख़ है मगर तीसरे के हक़ में यह फ़स्ख़ नहीं बल्कि बैअ़े जदीद (नई ख़रीद ो फ़रोख़्त) है कि उस फ़स्ख़ के बाद अगर मबीअ् मकान या ज़मीन

है तो शुफ़आ करने वाला शुफ़आ कर सकता है और अगर क़ज़ाये क़ाज़ी से फ़स्ख़ हुआ तो सब के हक़ में फ़स्ख़ ही है शुफ़आ का हक़ नहीं पहुँचेगा। (हिदाया)

मसअ्ला.4:– ख़्यारे ऐब की सूरत में मुश्तरी मबीअ् का मालिक होजाता है मगर मिल्क लाज़िम नहीं होती और उसमें वरासत भी जारी होती है यानी अगर मुश्तरी को ऐब का इल्म न हो और मर गया और वारिस को ऐब पर इत्तिला हुई तो उसे ऐब की वजह से फ़स्ख़ का हक़ हासिल होगा, ख़्यारे ऐब के लिये किसी वक़्त की तहदीद (हद लगाना) नहीं जब तक मवानेअ् रद (रद करने की रोकने की वजह) न पाये जायें (जिनका बयान आयेगा) यह हक़ बाक़ी रहता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– ख़्यारे ऐब के लिये यह शर्त है कि, (1)मबीअ् में वह ऐब अक़्दे बैअ् के वक़्त (ख़रीद फ़रोख़्त तय होने के वक़्त) मौजूद हो या बादे अक़्द मुश्तरी के क़ब्ज़ा से पहले पैदा हो लिहाज़ा मुश्तरी के क़ब्ज़ा करने के बाद जो ऐब पैदा हो उसकी वजह से ख़्यार हासिल न होगा, (2)मुश्तरी ने क़ब्ज़ा कर लिया हो तो उसके पास भी वह ऐब बाक़ी रहे अगर यहाँ वह ऐब न रहा तो ख़्यार भी नहीं, (3)मुश्तरी को अक़्द या क़ब्ज़ा के वक्त ऐब पर इत्तिला न हो ऐबदार जानकर लिया या क़ब्ज़ा किया ख़्यार न रहा। (4)बाइअ् ने ऐब से बराअत न की हो अगर उसने कह दिया कि मैं उसके किसी ऐब का ज़िम्मेदार नहीं ख़्यार साबित नहीं। (आलमगीरी,वग़ैरह)

मसअ्ला.6:– लोन्डी, गुलाम का मालिक के पास से भागना ऐब है और अगर इस वजह से है कि मालिक उस पर ज़ुल्म करता है तो ऐब नहीं, मालिक ने उसे अमानत रख दिया है या आरियत दे दिया है या उजरत पर दिया है अमीन या मुसतईर या मुस्ताजिर के पास से भागना भी ऐब है मगर जब कि यह ज़ुल्म करते हों, भागने के लिये यह ज़रूर नहीं कि शहर से निकल जाये बल्कि उसी शहर में रहे जब भी ऐब है और भागना उसी वक़्त ऐब है जब मुश्तरी के यहाँ से भागा हो।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– मुश्तरी के यहाँ से भागकर बाइअ् के यहाँ आया और छुपा नहीं जब कि बाइअ् उसी शहर में हो तो ऐब नहीं और यहाँ आकर पोशीदा होगया तो ऐब है, ग़ासिब के यहाँ से भागकर मालिक के यहाँ आया यह ऐब नहीं। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.8:– बैल वग़ैरह जानवर दो तीन दफ़ा भागें तो ऐब नहीं इस से ज़्यादा भागना ऐब है।(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.9:– बिछौने पर पेशाब करना ऐब है चोरी करना ऐब है चाहे इतना चुराया जिससे हाथ काटा जाये या उससे कम यूँही कफ़न चुराया जेब काटना भी ऐब है बल्कि नक़ब लगाना भी ऐब है, खाने की चीज़ खाने के लिये मालिक की चुराई तो ऐब नहीं और बेचने के लिये चुराई या दूसरे की चीज़ चुराई तो ऐब है बाज़ फ़ुक़्हा ने फ़रमाया कि मालिक का पैसा दो पैसे चुराना ऐब नहीं। (आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.10:– भागना, चोरी करना, बिछौने पर पेशाब करना इन तीनों के असबाब बचपन में और बड़े होने पर मुख़्तलिफ़ हैं, बचपन से मुराद पाँच साल की उम्र या उस से कम उम्र में यह चीज़ें पाई जायें तो ऐब नहीं, बचपन में उनका सबब कम अक़्ली और ज़ोअ्फ़े मसाना है और बड़े होने के बाद उनका सबब सूये इख़्तेयार और बातिनी बीमारी है लिहाज़ा अगर यह उयूब (ऐब) मुश्तरी व बाइअ् दोनों के यहाँ बचपन में पाये गये या दोनों के यहाँ जवानी के बाद पाये गये तो मुश्तरी रद कर सकता है कि यह वही ऐब है जो बाइअ् के यहाँ था और अगर बाइअ् के यहाँ यह ऐब बचपन में था और मुश्तरी के यहाँ बुलूग़ के बाद तो रद नहीं कर सकता कि यह वह ऐब नहीं बल्कि दूसरा ऐब है जो मुश्तरी के यहाँ पैदा हुआ जिस तरह बाइअ् के यहाँ उसे बुख़ार आता था अगर मुश्तरी के यहाँ भी वही बुख़ार उसी वक़्त आया तो वापस कर सकता है और मुश्तरी के यहाँ दूसरी क़िस्म का बुख़ार आया तो वापस नहीं कर सकता। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.11:– नाबालिग़ गुलाम को ख़रीदा जो बिछौने पर पेशाब करता था मुश्तरी के यहाँ भी यह ऐब मौजूद था मगर कोई दूसरा ऐब उसके अलावा भी पैदा होगया जिसकी वजह से वापस न कर सका और बाइअ् से उस ऐब का नुक़सान ले लिया बालिग़ होने पर पेशाब करना जाता रहा तो जो

मुआवज़ा–ए–ऐब बाइअ् ने अदा किया चूँकि वह जाता रहा वह रक़म वापस ले सकता है। (फ़तह)

मसअ्ला.12:– जुनून भी ऐब है और बचपन और जवानी दोनों में उसका सबब एक ही है यानी अगर बाइअ् के यहाँ बचपन में पागल हुआ था और मुश्तरी के यहाँ जवानी में तो वापस करने का हक़ है क्योंकि यह वही ऐब है दूसरा नहीं, जुनून (पागलपन) की मिक़दार यह है कि एक दिन रात से ज़्यादा पागल रहे उस से कम में ऐब नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– कनीज़ का वलदुज़्ज़ना होना ऐब है यूँही उसका ज़िना करना भी ऐब है लोन्डी से बच्चा पैदा होजाना भी ऐब है जब कि वह बच्चा मौला के अलावा दूसरे से हो और अगर उसका बच्चा मौला से हो तो वह उम्मे वलद है उसका बेचना ही जाइज़ नहीं, ज़िना और विलादत में मुश्तरी के यहाँ उस ऐब का पाया जाना जरूरी नहीं, वलदुज़्ज़िना होना ज़िना करना गुलाम में ऐब नहीं अगरचे ज़िना करना गुनाहे कबीरा है उस पर तौबा व इस्तिग़फ़ार वाजिब है और शरअ़न सख़्त ऐब है और अगर ज़िना करना उसकी आदत हो यानी दो मरतबा से ज़्यादा ऐसा किया तो यह बैअ् में ऐब शुमार किया जायेगा, लौन्डी और गुलाम में फ़र्क़ इस वजह से है कि लौन्डी से यह अकसर मक़सूद होता है कि उससे वती करे और अगर वह ऐसी है तो तबीअत में कराहत आयेगी नीज़ अगर औलाद पैदा हुई तो ज़ानिया की औलाद कहलायेगी और यह सख़्त आर है और गुलाम से मक़सूद ख़िदमत लेना होता है और इन बातों से ख़िदमत में कोई फ़र्क़ नहीं आता जब तक ज़िना की आदत न हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– गुलाम अगर ऐसा हो कि मुफ़्त इग़लाम कराता हो यह उस में ऐब है, गुलाम मुखन्नस है बईं माना कि आवाज़ में नर्मी है और रफ़्तार में लचक अगर यह बात कमी के साथ है तो ऐब नहीं और ज़्यादती के साथ है तो ऐब है वापस कर दिया जायेगा और अगर मुख़न्नस बईं माना हो कि बुरे अफ़आल करता है तो ऐब है। (आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.15:– लोन्डी का हामिला होना या शौहर वाली होना ऐब है कि क्योंकि उसको फ़िराश नहीं बनाया जा सकता यूँही गुलाम का शादी शुदा होना भी ऐब है, मगर गुलाम ने वापसी से पहले अपनी बीवी को तलाक़ देदी तो वापस नहीं किया जासकता और लौन्डी को उसके शौहर ने तलाक़ देदी अगर रजई तलाक़ है वापस की जासकती है और बाइन है तो नहीं और शौहर वाली लौन्डी अगर मुश्तरी के महरमात में से हो मसलन उसकी रज़ाई बहन या माँ है या उसकी औरत की माँ है तो शौहर वाली होना ऐब नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– जुज़ाम, बर्स, अन्धा होना, काना होना, भींगा होना, गूँगा होना, बहरा होना, उंगली ज़्यादा या कम होना, कुबड़ा होना, फोड़े, बीमारी, ख़ुसया का बड़ा होना यह सब चीज़ें ऐब हैं अगर ख़स्सी कहकर ख़रीदा और ख़स्सी न था तो वापस करने का हक़ नहीं है। (आलमगीरी) जो गुलाम दारुल'इस्लाम में पैदा हुआ है और बालिग़ होगया मगर उसका ख़तना नहीं हुआ है यह ऐब है और अभी ना'बालिग़ है या दारुल'हर्ब से उसे लाये उसमें यह ऐब नहीं। (फ़तह)

मसअ्ला.17:– गुलाम अमरद ख़रीदा फिर मालूम हुआ कि उसने दाढ़ी मुंडाई थी या दाढ़ी के बाल नोच डाले थे यह ऐब है वापस करदिया जायेगा। (ख़ानिया)

मसअ्ला.18:– गन्दा दहनी (मुँह से बदबू आने की बीमारी) या बग़ल में बू होना लोन्डी में ऐब है गुलाम में नहीं, मगर जब कि बहुत ज़्यादा हो तो गुलाम में भी ऐब है और अगर दाँत मांझे नहीं इस वजह से मुँह से बू आती है मन्जन, मिस्वाक से बू ज़ाइल होजायेगी, यह ऐब नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.19:– नाफ़ के नीचे पेडू का फूला होना लोन्डी गुलाम दोनों में ऐब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.20:– लौन्डी की शर्मगाह में गोश्त या हड्डी का पैदा होजाना, जिसकी वजह से वती न होसके ऐब है। यूँही आगे का मक़ाम बन्द होना भी ऐब है (आलमगीरी)

मसअ्ला.21:– काफ़िर होना लोन्डी गुलाम दोनों में ऐब है यूँही बद'मज़हब होना भी ऐब है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.22:– लोन्डी की उम्र पन्द्रह साल की हो और हैज़ न आये यह ऐब है और अगर सिग़रे सिन्नी (छोटी उम्र) या किब्रे सिन्नी (बड़ी उम्र) की वजह से हैज़ न आता हो तो ऐब नहीं, यह बात कि हैज़ नहीं आता यह खुद उस लोन्डी के कहने से मालूम होगी और अगर बाइअ् कहता है कि उसे हैज़ आता है तो उसे क़सम देंगे अगर क़सम खाले बाइअ् का क़ौल मोअ्तबर है और क़सम से इन्कार करे तो ऐब साबित है इस्तिहाज़ा भी ऐब है। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.23:– पुरानी खांसी ऐब है मामूली खांसी ऐब नहीं। (आलमगीरी)
मसअ्ला.24:– मदयून (क़र्ज़दार) होना भी ऐब है जब कि उस दैन का मुतालबा फिलहाल हो सकता हो और अगर ऐसा दैन हो जो आज़ाद होने के बाद वाजिबुल अदा होगा तो ऐब नहीं(दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.25:– शराब ख़ोरी की आदत, जुआ खेलना, झूठ बोलना, चुग़ली खाना, नमाज़ छोड़ देना, बायें हाथ से काम करना, आँख में परबाल होना, पानी बहना, रतोन्द होना यह सब उ़यूब हैं(आलमगीरी)

जानवरों के बाज़ उ़यूब

मसअ्ला.26:– गाय, भैंस, बकरी दूध नहीं देती या अपना दूध खुद पी जाती है यह ऐब है और जानवर का कम खाना भी ऐब है, बैल काम के वक़्त सो जाता है यह ऐब है, गधा ख़रीदा वह सुस्त चलता है वापस नहीं कर सकता मगर जब कि तेज़ रफ़्तारी की शर्त करली हो, गधे का न बोलना ऐब है, मुर्ग़ ख़रीदा जो ना वक़्त बोलता है वापस कर सकता है। (आलमगीरी)
मसअ्ला.27:– बकरी ख़रीदी देखा तो उसके कान कटे हुए हैं यह ऐब है यूँही कुर्बानी के लिये कोई जानवर ख़रीदा जिसके कान कटे हुए हैं या उसमें कोई ऐब ऐसा है जिसकी वजह से कुर्बानी नहीं हो सकती उसे वापस कर सकता है और ऐब क़रार दिया जाये, अगर बाइअ् मुश्तरी में इख़्तिलाफ़ हुआ मुश्तरी कहता है मैंने कुर्बानी के लिये ख़रीदा है बाइअ् इन्कार करता है अगर वह ज़माना कुर्बानी का हो और मुश्तरी अहले कुर्बानी से हो तो मुश्तरी का क़ौल मोअ्तबर है। (ख़ानिया)
मसअ्ला.28:– गाय या बकरी निजासत ख़ोर है अगर यह उसकी आदत है ऐब है और अगर हफ़्ता में एक दो बार ऐसा हुआ तो ऐब नहीं, कोई जानवर मक्खी खाता है अगर अहयानन (कभी कभी) ऐसा हो तो ऐब नहीं और अकस्र खाता हो तो ऐब है। (आलमगीरी)
मसअ्ला.29:– जानवर के दोनों पांव क़रीब क़रीब हैं मगर रानों में ज़्यादा फ़ासिला है यह ऐब है, रस्सी तुड़ाना या किसी तर्कीब से गले से पघा निकाल लेना ऐब है, घोड़ा सरकश है, खड़ा हो जाता है, अड़ जाता है, लगाम लगाते वक़्त शोख़ी करता है, लगाने नहीं देता, चलने में दोनों पिन्डलियाँ या पांव रगड़ खाते हों यह सब ऐब हैं। (आलमगीरी)
मसअ्ला.30:– घोड़ा खरीदा देखा कि उसकी उ़म्र ज़्यादा है ख़्यारे ऐब की वजह से उसे वापस नहीं कर सकता हाँ अगर कम उ़म्र की शर्त करली है तो वापस कर सकता है, गाय ख़रीदी वह मुश्तरी के यहाँ से भाग कर बाइअ् के यहाँ चली जाती है यह ऐब नहीं। (आलमगीरी) यानी जब कि ज़्यादा न भागती हो।

दुसरी चीज़ों के उ़यूब

मसअ्ला.31:– मोज़े या जूते ख़रीदे वह उसके पांव में नहीं आते वापस कर सकता है अगरचे ख़रीदते वक़्त यह न कहा हो कि पहनने के लिये ख़रीदता हूँ क्योंकि आदतन एक जोड़ा जूता या मोज़ा पहनने के लिये ही ख़रीदा जाता है, जूता जो तंग था बाइअ् ने कह दिया पहनो ठीक हो जायेगा एक दिन पहना मगर ठीक न हुआ अब वापस नहीं कर सकता। (आलमगीरी)
मसअ्ला.32:– नजिस कपड़ा ख़रीदा मगर मुश्तरी को नापाक होना मालूम न था अब मालूम हुआ अगर उस क़िस्म का कपड़ा है कि धोने से ख़राब नहीं होगा तो वापस नहीं कर सकता और ख़राब हो जायेगा तो वापस कर सकता है, उसमें तेल की चिकनाई लगी हो तो बहर हाल वापस कर सकता है। (आलमगीरी)
मसअ्ला.33:– मकान ख़रीदा उसके दरवाज़े पर लिखा हुआ पाया यह फुलां मस्जिद पर वक़्फ़ है

महज़ इतनी बात से वापस नहीं कर सकता जब तक वक़्फ़ का सुबूत न हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– मकान या ज़मीन ख़रीदी लोग उसे मनहूस कहते हैं वापस कर सकता है क्योंकि अगरचे इस क़िस्म के ख़्यालात का एअ्तिबार नहीं मगर बेचना चाहेगा तो उसके लेने वाले नहीं मिलेंगे और यह एक ऐब है। (आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.35:– गेहूं ख़रीदे बाइअ् ने इशारा करके यह बता दिया था कि यह हैं उसके दाने पतले या छोटे हैं तो ख़्यारे ऐब से वापस नहीं कर सकता और अगर घुने हुए हैं या बूदार हैं तो वापस कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.36:– फल या तरकारी की टोकरी ख़रीदी उसमें नीचे घास भी रखी हुई निकली वापस कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.37:– मकान ख़रीदा जिसका परनाला दूसरे के मकान में गिरता है या उसकी नाली दूसरे के मकान में जाती है और मालूम हुआ कि उसका हक़ नहीं है मगर ख़रीदारी के वक़्त उसका इल्म नहीं था तो वापस कर सकता है या उसकी वजह से जो कुछ क़ीमत में पैदा हुआ वह बाइअ् से वापस ले सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.38:– क़ुर्आन मजीद या किताब ख़रीदी और उसके अन्दर बाज़–बाज़ जगह अलफ़ाज़ लिखने से रह गये हैं वापस कर सकता है। (आलमगीरी)

कब वापस नहीं कर सकता और किस सूरत में नुक़सान ले सकता है

मसअ्ला.39:– ऐब पर इत्तिला पाने के बाद मुश्तरी ने अगर मबीअ् में मालिकाना तसर्रुफ़ किया तो वापस करने का हक़ जाता रहा, जानवर ख़रीदा था वह बीमार था उसका इलाज किया या अपने काम के लिये उस पर सवार हुआ वापस नहीं कर सकता और अगर एक बीमारी थी जिसकी बाइअ् ने ज़िम्मेदारी नहीं की थी उसका इलाज किया और दूसरी बीमारी जिसका ज़िक्र नहीं आया था वह ज़ाहिर हुई तो उसकी वजह से वापस कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.40:– जानवर पर उसको वापस करने की ग़र्ज़ से सवार हुआ या सवार होकर उसे पानी पिलाने लेगया या चारा ख़रीदने गया अगर मजबूर था तो ऐब पर रज़ामन्दी नहीं वरना है, ऐब पर मुत्तला होने के बाद मकान ख़रीद कर्दा में सुकूनत की या उसकी मरम्मत की या उसको ढा दिया अब वापस नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.41:– मबीअ् को मुश्तरी ने बैअ् कर दिया या आज़ाद कर दिया या हिबा करके क़ब्ज़ा दे दिया उसके बाद ऐब पर मुत्तला हुआ तो न वापस कर सकता है न नुक़सान ले सकता है(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.42:– बकरी या गाय ख़रीदी उसका दूध दुहकर इस्तेमाल किया फिर ऐब पर इत्तेला हुई वापस नहीं कर सकता नुक़सान ले सकता है, और गाय, बकरी को मअ् बच्चा (बच्चे के साथ) ख़रीदा है और ऐब पर मुत्तला हुआ उसके बाद बच्चा ने दूध पी लिया वापस कर सकता है चाहे बच्चा ने खुद ही पी लिया हो या उसने उसे छोड़ा था कि खुद पी ले, और अगर मुश्तरी ने दूध दुहा तो वापस नहीं कर सकता चाहे खुद पी ले या उसके बच्चे को पिलादे कि ऐब पर मुत्तला होकर दुहना दलीले रज़ामन्दी है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.43:– कनीज़ ख़रीदकर उससे वती (सम्भोग) की उसके बाद ऐब पर मुत्तला हुआ वापस नहीं कर सकता ऐब का नुक़सान ले सकता है, और अगर बाइअ् नुक़सान देना नहीं चाहता कनीज़ वापस लेने के लिये राज़ी है तो वापसी हो सकती है यूँही शहवत (सम्भोग की उत्तेजना) के साथ छूना या बोसा देना भी मानेअ़े रद (वापसी की रोक) है, और ऐब पर मुत्तला होने के बाद यह अफ़आल किये तो नुक़सान भी नहीं ले सकता, और अगर उसके साथा किसी ने ज़िना किया जब भी वापस नहीं करे सकता मगर जबकि बाइअ् वापस लेने पर तैयार है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.44:– ग़ल्ला ख़रीदा उसमें से कुछ खालिया या बेचदिया फिर ऐब पर मुत्तला(ख़बरदार) हुआ

जो खा चुका है उसका नुक़सान लेले और बाक़ी को वापस कर सकता है जो बेच चुका है उसका नुक़सान नहीं ले सकता, आटा ख़रीदा उसमें से कुछ गूंधकर रोटी पकाई मा़लूम हुआ कि कड़वा है जो पका चुका है उसका नुक़सान लेसकता है और बाक़ी को वापस कर सकता है। (खानियह)

मसअ्ला.45:– कपड़ा ख़रीदा उसे क़त्अ् कराया (कटवाया) और अभी सिला नहीं उसमें ऐब मा़लूम हुआ उसे वापस नहीं कर सकता बल्कि नुक़सान ले सकता है हाँ अगर बाइअ् क़त्अ् किये हुए को वापस लेने पर राज़ी है तो अब नुक़सान नहीं ले सकता और ख़रीदकर बैअ् कर दिया तो कुछ नहीं कर सकता, और अगर क़त्अ् के बा़द सिल भी गया और ऐब मा़लूम हुआ तो नुक़सान ले सकता है बाइअ् बजाये नुक़सान देने के वापस लेना चाहे तो वापस नहीं ले सकता। (हिदाया,वग़ैरह)

मसअ्ला.46:– कपड़ा ख़रीदकर अपने नाबालिग़ बच्चे के लिये क़त्अ् कराया और ऐब मा़लूम हुआ तो न वापस ले सकता है न नुक़सान ले सकता है, और अगर बालिग़ लड़के के लिये क़त्अ् कराया तो नुक़सान ले सकता है। (हिदाया, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.47:– मबीअ् में मुश्तरी के यहाँ कोई जदीद ऐब (नया ऐब) पैदा होगया मुश्तरी के फ़ेल (करने) से वह ऐब पैदा हुआ या आफ़ते समावी से हुआ वापस नहीं कर सकता नुक़सान का मुआ़वज़ा ले सकता है और अगर बाइअ् के फ़ेअ्ल से वह ऐब पैदा हुआ है जब भी वापस नहीं कर सकता बल्कि दोनों ऐबों से जो नुक़सान है उनका मुआ़वज़ा ले सकता है और अगर अजनबी के फ़ेअ्ल से दूसरा ऐब पैदा हुआ तो ऐबे अव्वल का नुक़सान बाइअ् से ले और दूसरे ऐब का उस अजनबी से और अगर बैअ् के बा़द मगर क़ब्ज़ा से पहले बाइअ् के फ़ेअ्ल से या खुद मबीअ् के फ़ेअ्ल से या आफ़ते समावी से ऐबे जदीद पैदा हुआ तो मुश्तरी को इख़्तेयार है कि बैअ् को रद करदे या़नी न ले या लेले और जो नुक़सान हुआ है उसके एवज़ में समन से कम करदे और अगर अजनबी के फ़ेअ्ल से वह ऐब पैदा हुआ है जब भी इख़्तेयार है कि मबीअ् को ले या न ले अगर मबीअ् को लेता है तो नुक़सान का मुआ़वज़ा उस अजनबी से ले सकता है और अगर खुद मुश्तरी के फ़ेअ्ल से ऐब पैदा हुआ है तो पूरे समन के साथ लेना पड़ेगा और नुक़सान का मुतालबा नहीं कर सकता।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.48:– जो चीज़ ऐसी हो कि उसकी वापसी में मज़दूरी सर्फ़ करनी पड़े तो जहाँ अ़क्दे बैअ् हुआ है वहाँ पहुँचाना मुश्तरी के ज़िम्मे है या़नी मज़दूरी वग़ैरा मुश्तरी को देनी पड़ेगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.49:– जानवर ख़रीदा उसे ज़िबह कर दिया अब मा़लूम हुआ कि उसकी आंतें ख़राब हो गई थीं तो नुक़सान नहीं ले सकता और अगर ज़िबह से पहले ऐब पर मुत्तला होचुका था फिर ज़िबह कर दिया जब भी नुक़सान नहीं ले सकता मगर जबकि यह मा़लूम हो कि ज़िबह न किया जायेगा तो मर जायेगा इस सूरत में नुक़सान लेसकता है। (दुर्रेमुख़्तार, वग़ैरह)

मसअ्ला.50:– मबीअ् में कुछ ज़्यादती करदी मसलन कपड़े को सी दिया, या रंग दिया या सत्तू में घी शकर वग़ैरह मिला दिया या ज़मीन में पेड़ नसब कर दिये या ता़मीर कराई या उसको बैअ् कर दिया अगरचे बेचना ऐब पर मुत्तला होने के बा़द हो या मबीअ् हलाक होगई इन सब सूरतों में नुक़सान लेसकता है वापस नहीं कर सकता है अगर वह दोनों वापसी पर रज़ा'मन्द भी होजायें जब भी क़ाज़ी हुक्म वापसी का नहीं दे सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.51:– अण्डा ख़रीदा, तोड़ा तो गन्दा निकला कुल दाम वापस होंगे कि वह बेकार चीज़ है बैअ् के क़ाबिल नहीं हाँ शुतुर मुर्ग़ का अण्डा जिसमें छिलका मक़सूद होता है अकसर लोग उसे ज़ीनत की ग़र्ज़ से रखते हैं उसकी बैअ् बातिल नहीं ऐब का नुक़सान ले सकता है ख़रबूज़ा, तरबूज़, खीरा ख़रीदा और काटा तो ख़राब निकला या बादाम अखरोट ख़रीदा तोड़ने पर मा़लूम हुआ कि ख़राब है मगर बा'वजूद ख़राबी काम के लाइक़ है कम से कम यह कि जानवर ही के खिलाने में काम आ सकता है तो वापस नहीं कर सकता नुक़सान ले सकता है और अगर बाइअ् कटे हुए या टूटे हुए को वापस लेने पर तैयार है तो वापस करदे नुक़सान नहीं ले सकता और अगर ऐब मा़लूम

होजाने के बाद कुछ भी खालिया तो नुक़सान भी नहीं ले सकता, और अगर चखा और ऐब मालूम होने के बाद छोड़ दिया कुछ न खाया तो नुक़सान ले सकता है, और अगर काटने तोड़ने से पहले ही मुश्तरी को ऐब मालूम होगया तो उसी हालत में वापस करदे काटे, तोड़ेगा तो न वापस कर सकता है न नुक़सान लेसकता है, और अगर काटने, तोड़ने के बाद मालूम हुआ कि यह चीज़ें बिलकुल बेकार हैं मसलन खीरा कड़वा है या बादाम अख़रोट में गिरी नहीं है तरबूज़ या ख़रबूज़ा सड़ा हुआ है तो पूरे दाम वापस ले बैअ् बातिल है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.52:– गेहूँ वग़ैरह ग़ल्ला ख़रीदा उसमें ख़ाक मिली हुई निकली अगर ख़ाक इतनी ही है जितनी आदतन हुआ करती है वापस नहीं कर सकता और आदत से ज़्यादा है तो कुल वापस करदे और अगर गेहूँ रखना चाहता है ख़ाक को अलग करके वापस करना चाहता है यह नहीं कर सकता। (आलमगीरी, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.53:– गेहूँ में कुछ ख़ाक मिली थी उड़ गई और वज़न कम होगया या गेहूओं में नमी थी खुश्क होकर वज़न कम होगया वापस नहीं कर सकता। (ख़ानिया)

मसअ्ला.54:– मुश्तरी ने मबीअ् को बैअ् कर दिया और उसे ऐब की ख़बर न थी मुश्तरी–ए–सानी (दूसरा ख़रीदार) ने ऐब की वजह से हुक्मे क़ाज़ी से वापस किया तो मुश्तरी अव्वल बाइअ् अव्वल को वह चीज़ वापस कर सकता है, यह उस वक़्त है जब मुश्तरी सानी ने गवाहों से यह साबित किया हो कि इस चीज़ में उस वक़्त से ऐब है जब बाइअ् अव्वल के पास थी और अगर गवाहों से मुश्तरी के पास ऐब साबित किया हो तो बाइअ् अव्वल पर रद नहीं कर सकता और अगर वापस करने के बाद मुश्तरी अव्वल ने यह कह दिया कि इसमें कोई ऐब नहीं है तो वापस नहीं कर सकता, यह तमाम बातें उस वक़्त हैं जब मबीअ् पर क़ब्ज़ा हो चुका हो और क़ब्ज़ा न हुआ हो तो मुतलक़न वापस कर सकता है चाहे क़ज़ा–ए–क़ाज़ी से वापसी हो या उसके बिग़ैर क्योंकि बैअ़े सानी इस सूरत में सहीह ही नहीं मगर जायदादे ग़ैर मनक़ूला (जिस जायदाद को इधर उधर न ले जासकें) में बिग़ैर क़ब्ज़ा भी बैअ् हो सकती है इस में क़ब्ज़ा और ग़ैर क़ब्ज़ा का फ़र्क़ नहीं।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.55:– मुश्तरी सानी ने मुश्तरी अव्वल को उसकी रज़ामन्दी से चीज़ वापस करदी तो यह बाइअ् अव्वल को वापस नहीं कर सकता अगरचे वह ऐब ऐसा न हो जो मुश्तरी अव्वल के यहाँ पैदा हो सकता हो मसलन गुलाम के पाँच की जगह छः उंगलियाँ हैं कि यह वापसी हक़्क़े सालिस में (तीसरे के हक़ में) बैअ़े जदीद (नई ख़रीद ो फ़रोख़्त) क़रार पायेगी यूँही बाइअ् के वकील ने अगर मबीअ् की वापसी अपनी रज़ामन्दी से करली तो मुअक्किल को वापस नहीं कर सकता कि मुअक्किल के लिहाज़ से यह फ़स्ख़ नहीं बल्कि बैअ़े जदीद है और अगर क़ज़ा–ए–क़ाज़ी से वापसी हुई तो मुअक्किल पर भी वापसी होगई कि जब बैअ् फ़स्ख़ होगई वह चीज़ मोअक्किल की होगई। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.56:– मुश्तरी ने मबीअ् पर क़ब्ज़ा करने के बाद ऐब का दावा किया तो समन देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता बल्कि मुश्तरी से इस्बाते ऐब (ऐब साबित होने) के गवाह तलब किये जायेंगे और गवाह न हों तो बाइअ् पर हलफ़ दिया जायेगा और बाइअ् क़सम खा जाये कि ऐब नहीं था तो समन देने का हुक्म होगा और अगर मुश्तरी ने पहले यह कहा कि मेरे गवाह नहीं हैं फिर कहता है गवाह पेश करूँगा तो गवाह क़बूल कर लिये जायेंगे, और अगर मुश्तरी के पास गवाह नहीं हैं और बाइअ् क़सम से इनकार करता है तो ऐब का हुक्म होगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.57:– गवाहे मुश्तरी या हल्फ़े बाइअ् की उस वक़्त ज़रूरत है जब वह ऐब मख़फ़ी हो मसलन भागना, चोरी करना और अगर ऐब ज़ाहिर हो मसलन काना, बहरा, गूंगा है या उसकी उंगलियाँ ज़ायद या कम हैं तो न गवाह की हाजत न क़सम की ज़रूरत हाँ अगर बाइअ् यह कहे कि मुश्तरी को ख़रीदने के वक़्त ऐब का इल्म था बाद ख़रीदने के ऐब पर राज़ी होगया या मैं ऐब से बरीउज़्ज़िम्मा हो चुका था तो बाइअ् को इन उमूर पर गवाह पेश करने पड़ेंगे गवाह न ला सके तो

मुश्तरी पर हल्फ़ दिया जायेगा क़सम खालेगा वापस कर दिया जायेगा वरना वापस नहीं कर सकता। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.58:– वह उ़यूब जिन में त़बीब की ज़रूरत होती है मसलन जिगर का वर्म, तिह़ाल का वर्म या कोई दूसरी पोशीदा बीमारी उनमें एक त़बीबे आ़दिल (इन्साफ़ पसन्द हकीम) ने उस बीमारी का होना बयान कर दिया तो दावा क़ाबिले समाअ़त है रहा यह अम्र कि बीमारी बाइअ़ के यहाँ मौजूद थी उसके लिये दो आ़दिल त़बीब की शहादत दरकार होगी, और जो उ़यूब ऐसे हैं जिनपर औरतों ही को इत्तिला होती है उनमें एक औ़रत के क़ौल से ऐ़ब का सुबूत होगा मगर बैअ़ फ़स्ख़ करने के लिये यह ज़रूर है कि बाइअ़ को ह़ल्फ़ दें अगर वह क़सम खाले कि मेरे यहाँ यह ऐ़ब न था तो वापस नहीं कर सकता क़सम से इन्कार करे तो वापस कर देगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.59:– जो ऐ़ब ज़ाहिर है और इतनी मुद्दत में पैदा नहीं होसकता जब से बैअ़ हुई है तो यहाँ भी गवाह या ह़लफ़ की ह़ाजत नहीं हाँ अगर उस मुद्दत में पैदा हो सकता है और बाइअ़ यह कहता है कि मेरे यहाँ यह ऐ़ब न था तो गवाह या ह़ल्फ़ की ह़ाजत होगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.60:– मबीअ़ के किसी जुज़ के मुतअ़ल्लिक़ किसी ने दावा करके अपना ह़क़ साबित कर दिया अगर मुश्तरी ने क़ब्जा नहीं किया है तो इख़्तेयार है कि बाक़ी को ले या न ले और क़ब्ज़ा कर चुका है और वह चीज़ क़ीमती है जब भी इख़्तेयार है कि ले या वापस करदे और वह चीज़ मिसली है तो बाक़ी को वापस नहीं कर सकता बल्कि जो कुछ उसका हिस्सा है यह लेले और जो दूसरे ह़क़दार का है वह ले लेगा और दो चीज़ें ख़रीदी हैं और एक पर क़ब्ज़ा कर लिया या अब तक किसी पर क़ब्ज़ा नहीं किया है और एक में किसी ने अपना ह़क़ साबित कर दिया तो मुश्तरी को इख़्तेयार है कि दूसरी को लेले या छोड़ दे और दोनों पर क़ब्ज़ा कर चुका है तो इख़्तेयार नहीं यानी दूसरी को लेना ज़रूरी है वापस नहीं कर सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.61:– क़ब्ज़ा के बा़द मबीअ़ में इख़्तिलाफ़ हुआ कि एक है या ज़्यादा ताकि ऐ़ब की सूरत में वापसी हो तो यह मा़लूम होसके समन कितना वापस किया जायेगा मबीअ़ में इख़्तेलाफ़ नहीं मगर कितने पर क़ब्ज़ा हुआ उसमें इख़्तेलाफ़ है इन दोनों सूरतों में मुश्तरी का क़ौल मोअ़्तबर है और अगर ख़्यारे ऐ़ब में मबीअ़ की वापसी के वक़्त बाइअ़ कहता है यह वह चीज़ नहीं है मुश्तरी कहता हो वही है तो बाइअ़ का क़ौल मोअ़्तबर है और ख़्यारे शर्त़ या ख़्यारे रूयत में मुश्तरी का क़ौल मोअ़्तबर है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.62:– मुश्तरी जानवर को फेरने लाया कि उसके ज़ख़्म है मैं नहीं लूंगा, बाइअ़ कहता है कि यह वह ज़ख़्म नहीं है जो मेरे यहाँ था वह अच्छा होगया यह दूसरा है तो मुश्तरी का क़ौल मोअ़्तबर है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.63:– दो चीज़ें एक अ़क़्द में ख़रीदीं अगर हर एक तनहा काम में आती हो जैसे दो गुलाम, दो कपड़े और अभी दोनों पर क़ब्जा नहीं किया है कि एक के ऐ़ब पर मुत्तला (ख़बरदार) हुआ तो इख़्तेयार है लेना हो तो दोनों ले फेरना हो तो दोनों फेरे मगर जबकि बाइअ़ एक के फेरने पर राज़ी हो तो फ़क़त एक को भी वापस कर सकता है और अगर दोनों पर क़ब्ज़ा कर लिया है तो जिसमें ऐ़ब है उसे वापस करदे दोनों को वापस करना चाहे तो बाइअ़ की रज़ा'मन्दी दरकार है, और अगर क़ब्जा से पहले एक का ऐ़बदार होना मा़लूम होगया और उसी पर क़ब्ज़ा कर लिया तो दूसरी को लेना भी ज़रूरी है और दूसरी पर क़ब्ज़ा किया तो इख़्तेयार है दोनों को ले या दोनों को फेरदे और अगर दोनों एक साथ काम में लाई जाती हों तनहा एक काम की न हो जैसे मोज़े और जूते के जोड़े, चौखट, बाज़ू या बैलों की जोड़ी जबकि वह आपस में ऐसा इत्तेहाद रखते हों कि एक के बिगैर दूसरा काम ही न करे तो दोनों पर क़ब्ज़ा किया हो या एक पर क़ब्ज़ा किया हो दोनों हाल में एक ही हुक्म है कि लेना चाहे तो दोनों ले और फेरे तो दोनों फेरे। (दुर्रेमुख़्तार, फतह, खानिया)

मसअ्ला.64:– मबीअ् में नया ऐब पैदा होगया था जिसकी वजह से बाइअ् को वापस नहीं कर सका था अब यह ऐब जाता रहा तो उस पुराने ऐब की वजहे से वापस कर सकता है और जो नुक़सान लिया है उसे भी वापस करना होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.65:– गुलाम ख़रीदा था और उसपर क़ब्ज़ा भी कर लिया वह किसी ऐसे जुर्म की वजह से क़त्ल किया गया जो बाइअ् के यहाँ उसने किया था तो पूरा समन बाइअ् से वापस लेगा और अगर उसका हाथ काटा गया और जुर्म बाइअ् के यहाँ किया था तो मुश्तरी को इख़्तेयार है कि उसको वापस करदे या रखले और आधा समन वापस ले। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.66:– कोई चीज़ बैअ् की और बाइअ् ने कह दिया कि मैं हर ऐब से बरीउज्ज़िम्मा हुँ यह बैअ् सहीह है और उस मबीअ् के वापस करने का हक़ बाक़ी नहीं रहता, यूँही अगर बाइअ् ने कह दिया कि लेना हो तो लो इस में सौ तरह के ऐब हैं या यह मिट्टी है या इसे ख़ूब देखलो कैसी भी हो मैं वापस नहीं करूँगा यह ऐब से बराअ्त है, जब हर ऐब से बराअ्त करले तो जो ऐब अ़क़्द के वक़्त मौजूद है या अ़क़्द के बाद क़ब्ज़ा से पहले पैदा हुआ सबसे बराअ्त होगई। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.67:– कोई चीज़ ख़रीदी उसका कोई ख़रीदार आया उससे कहा इसे लेलो इसमें कोई ऐब नहीं है और इत्तेफ़ाक़ से उसने नहीं ख़रीदी फिर मुश्तरी ने उसमें कोई ऐब देखा तो वापस कर सकता है और उसका पहले यह कहना कि इस में कोई ऐब नहीं है मुज़िर नहीं कि इससे मक़सूद तरग़ीब है और अगर उसने किसी ऐब का नाम लेकर कहा कि यह ऐब इसमें नहीं है और बाद में वही ऐब उसमें मौजूद मिला तो वापस नहीं कर सकता हाँ अगर ऐसे ऐब का नाम लिया जो उस दौरान में पैदा नहीं हो सकता जैसे उंगली का ज़ायद होना तो वापस कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.68:– बकरी या गाय या भैंस का दूध बाइअ् ने दो एक वक़्त नहीं दुहा और उसे यह कहकर बेचा कि इसके दूध ज़्यादा है और दूध दुहकर दिखा भी दिया मुश्तरी ने धोखा खाकर ख़रीद लिया अब दुहता है मालूम होता है कि इतना दूध नहीं है उसको वापस नहीं कर सकता हाँ जो नुक़सान है बाइअ् से ले सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.69:– मुश्तरी ने वापस करना चाहा बाइअ् ने कहा वापस न करो मुझसे इतना रूपया लेलो और इस पर मुसालहत होगई यह जाइज़ है और उसका मतलब यह हुआ कि बाइअ् ने समन में इतना कम कर दिया, और अगर बाइअ् वापस करने से इनकार करता है मुश्तरी ने यह कहा कि इतने रूपये मुझसे लेलो और मबीअ् को वापस करलो यूँ मुसालहत ना'जायज़ है और यह रूपये जो बाइअ् लेगा सूद और रिश्वत है मगर जबकि मुश्तरी के यहाँ कोई जदीद ऐब पैदा होगया हो या बाइअ् उससे मुन्किर हो कि वह ऐब उसके यहाँ मबीअ् में था तो यह मुसालहत भी जायज़ है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.70:– एक शख़्स ने दूसरे को किसी चीज़ के ख़रीदने का वकील किया था वकील ने मबीअ् में ऐब देखकर रज़ा'मन्दी ज़ाहिर करदी अगर समन इतना है कि उस ऐब वाली चीज़ का उतना ही होना चाहिये तो मोअक्किल को लेना पड़ेगा और अगर समन ज़्यादा है तो मोअक्किल पर यह बैअ् लाज़िम नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.71:– कोई चीज़ ख़रीदी फिर उसकी बैअ् के लिये दूसरे को वकील कर दिया उसके बाद उसके ऐब पर इत्तेला हुई अगर मुअक्किल के सामने वकील ने बेचना चाहा उसको ख़बर दीगई कि वकील उसका दाम कर रहा है और मुअक्किल ने मना न किया तो ऐब पर रज़ा'मन्दी होगई फ़र्ज़ किया जाये कि न बिकी तो वापस नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.72:– यह जा'ब'जा कहा गया है कि ऐब से जो नुक़सान है वह लेगा उसकी सूरत यह है कि उस चीज़ को जांचने वालों के पास पेश किया जाये उसकी क़ीमत का वह अन्दाज़ा करें कि अगर ऐब न होता तो यह क़ीमत थी और ऐब के होते हुए यह क़ीमत है दोनों में जो फ़र्क़ है वह मुश्तरी बाइअ् से लेगा मसलन ऐब है तो आठ रूपये क़ीमत है न होता तो दस रूपये थी, दो रूपये बाइअ् से ले। (आलमगीरी)

मसअ्ला.73:– जानवर ख़रीदा था क़ब्ज़ा के बाद ऐब पर मुत्तला (ख़बरदार) हुआ उसे वापस करने बाइअ् के पास लेजा रहा था रास्ते में मरगया तो मुश्तरी का जानवर मरा अलबत्ता अगर गवाहों से ऐब साबित कर देगा तो ऐब का नुक़सान ले सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.74:– एक शख़्स ने गाभिन गाय के बदले में बैल ख़रीदा और हर एक ने क़ब्ज़ा भी कर लिया गाय के बच्चा पैदा हुआ और दूसरे ने देखा कि बैल में ऐब है बैल को उसने वापस कर दिया तो गाय में चूंकि बच्चा पैदा होने की वजह से ज़्यादती हो चुकी है वह वापस नहीं की जा सकती गाय की क़ीमत जो हो वह वापस दिलाई जायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.75:– ज़मीन ख़रीदकर उसको मस्जिद कर दिया फिर ऐब पर मुत्तला हुआ तो वापस नहीं कर सकता नुक़सान जो है लेले, ज़मीन को वक़्फ़ किया है जब भी यही हुक्म है कि वापस नहीं कर सकता है नुक़सान लेले। (ख़ानिया)

मसअ्ला.76:– कपड़ा ख़रीदकर मुर्दा का कफ़न किया उसके बाद ऐब पर मुत्तला (ख़बरदार) हुआ अगर वारिस ने तर्का से कफ़न ख़रीदा है तो नुक़सान ले सकता है और अगर किसी अजनबी ने अपनी तरफ़ से ख़रीदकर दिया तो नहीं ले सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.77:– दरख़्त ख़रीदा था कि उसकी लकड़ी की चीज़ें बनायेगा मसलन चौखट, किवाड़ वग़ैरा मगर काटने के बाद मालूम हुआ कि यह एक ईंधन ही के काम आ सकता है तो नुक़सान ले सकता है। और अगर ईंधन के लिये ख़रीदा था तो नुक़सान नही ले सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.78:– रोटी ख़रीदी और जो नर्ख़ उसका मारूफ़ व मशहूर है उससे कम दी है तो जो कमी है बाइअ् से वुसूल करे इसी तरह हर वह चीज़ जिसका नर्ख़ मशहूर है उससे कम हो तो बाइअ् से कमी पूरी कराये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.79:– कोई चीज़ ग़बने फ़ाहिश के साथ ख़रीदी है उसकी दो सूरतें हैं धोखा देकर नुक़सान पहुँचाया है या नहीं अगर ग़बने फ़ाहिश के साथ धोखा भी है तो वापस कर सकता है वरना नहीं, ग़बने फ़ाहिश का मतलब यह है कि इतना टोटा है जो मुक़व्वेमीन (क़ीमत लगाने वाले) के अन्दाज़ा से बाहर हो मसलन एक चीज़ दस रूपये में ख़रीदी कोई उसकी क़ीमत पाँच बताता है कोई छः कोई सात तो यह ग़बने फ़ाहिश है और अगर उसकी क़ीमत कोई आठ बताता, कोई नौ, कोई दस तो ग़बने यसीर होता, धोखे की तीन सूरतें हैं कभी बाइअ् मुश्तरी को धोखा दे देता है पाँच की चीज़ दस में बेच देता है और कभी मुश्तरी बाइअ् को कि दस की चीज़ पाँच में ख़रीद लेता है कभी दलाल धोखा दे देता है इन तीनों सूरतों में जिसको ग़बने फ़ाहिश के साथ नुक़सान पहुँचा है वापस कर सकता है और अगर अजनबी शख़्स ने धोखा दिया हो तो वापस नहीं कर सकता। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुमुल तार)

मसअ्ला.80:– एक शख़्स ने ज़मीन या मकान ख़रीदा और बाइअ् को धोखा देकर नुक़सान पहुँचा दिया मसलन हज़ार रूपये की चीज़ को पाँच सौ में ख़रीदा मगर शफ़ीअ् (शुफ़आ का हक़ रखने वाला) ने शुफ़आ करके वह चीज़ मुश्तरी से लेली तो बाइअ् शफ़ीअ् से वापस नहीं ले सकता क्योंकि शफ़ीअ् ने उसको धोखा नहीं दिया है धोखा देने वाला मुश्तरी है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.81:– जिस चीज़ को ग़बने फ़ाहिश के साथ ख़रीदा है और उसे धोखा दिया गया है उस चीज़ को कुछ सर्फ़ कर डालने के बाद उसका इल्म हुआ तो अब भी वापस कर सकता है यानी जो कुछ वह चीज़ बची वह और जो ख़र्च करली है उसके मिस्ल वापस करे और पूरा समन वापस ले(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.82:– एक शख़्स ने लोगों से कह दिया कि यह मेरा गुलाम या लड़का है उससे ख़रीद ो फ़रोख़्त करो मैंने उसको इजाज़त देदी है उसकी निस्बत बाद में मालूम हुआ कि गुलाम नहीं बल्कि हुर (आज़ाद) है या उसका लड़का नहीं दूसरे शख़्स का है तो जो कुछ लोगों के मुतालबे हैं उस कहने वाले से वुसूल कर सकते हैं कि उसने धोखा दिया है। (दुर्रेमुख़्तार)

बैअ् फ़ासिद का बयान

हदीस् (1) सहीह मुस्लिम शरीफ़ में राफ़ेअ् बिन ख़ुदैज रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "कुत्ते का समन ख़बीस है और ज़ानिया की उजरत ख़बीस है और पछन्ना लगाने वाले की कमाई ख़बीस है" यानी मकरूह है क्योंकि उसको निजासत में आलूदा होना पड़ता है, उसको हराम नहीं कह सकते इसलिए कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने पछन्ने लगवाये और उसकी उजरत अता फ़रमाई है।

हदीस् (2) सहीहैन में अबू मसऊद अन्सारी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने कुत्ते के समन और ज़ानिया की उजरत और काहिन की उजरत से मना फ़रमाया।

हदीस (3) सहीह बुख़ारी में अबू जहीफा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने ख़ून के समन और कुत्ते के समन और ज़ानिया की उजरत से मनअ् फ़रमाया और सूद खाने वाले और खिलाने वाले (यानी सूद देने वाले) और गोदने वाली और गुदवाने वाली और तस्वीर बनाने वाले पर लानत फ़रमाई।

हदीस् (4) सहीहैन में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम से साले फ़तहे मक्का मुअज्ज़मा में तशरीफ फ़रमा थे यह फ़रमाते हुए सुना कि "अल्लाह व रसूल ने शराब व मुर्दार व ख़िन्ज़ीर और बुतों की बैअ् को हराम क़रार दिया" किसी ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मुर्दा की चर्बी की निस्बत क्या इरशाद है क्योंकि कश्तियों में लगाई जाती है और खाल में लगाते हैं और लोग चिराग़ में जलाते हैं (यानी खाने के अलावा दूसरे तरीक़े पर उसका इस्तेमाल जाइज़ है या नहीं) फ़रमाया "नहीं वह हराम है" फिर फ़रमाया "अल्लाह तआला यहूदियों को क़त्ल करे. अल्लाह तआला ने जब चर्बियों को उनपर हराम फ़रमा दिया तो उन्होंने पिघलाकर बेच डाली और समन खा लिया" हदीस का पिछला हिस्सा हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है।

हदीस् (5) तिर्मिज़ी व इब्ने माजा अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने शराब के बारे में दस शख़्सों पर लानत फ़रमाई, (1)निचोड़ने वाले, (2)और निचोड़वाने वाले, (3)और पीने वाले, (4)और उठाने वाले पर, (5)और जिसके पास उठाकर लाई गई उस पर, (6)और पिलाने वाले, (7)और बेचने वाले, (8)और उसका समन खाने वाले, (9)और ख़रीदने वाले पर, (10)और उस पर जिस पर ख़रीदी गई।

हदीस् (6) इब्ने माजा ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया "बेशक अल्लाह तआला ने शराब और उसके समन को हराम किया और मुर्दो को हराम किया और उसके समन को और ख़िन्ज़ीर को हराम किया और उसके समन को"।

हदीस (7) बुख़ारी व मुस्लिम अबूदाऊद तिबरी व इब्ने माजा अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "तुम में कोई शख़्स बचे हुए पानी को मना न करे ताकि उस के ज़रीआ से घास को मना करे" उसी के मिस्ल आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी।

हदीस् (8) इब्ने माजा, इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया "तमाम मुसलमान तीन चीज़ों में शरीक हैं पानी और घास और आग और उसका समन हराम है"।

हदीस् (9) सहीहैन में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने मुज़ाबना से मना फ़रमाया मुज़ाबना यह है कि खजूर का बाग़ हो तो जो खजूरें दरख़्त में है उनको ख़ुश्क खजूरों के बदले में बैअ् करे और अंगूर का बाग़ हो तो दरख़्त के अंगूर मुनक़्क़े के बदले में नाप से बैअ् करे और खेत में जो ग़ल्ला है उसे ग़ल्ले के बदले में नाप

से बेचे इन सब से मनअ् फ़रमाया।

हदीस (10) बुख़ारी व मुस्लिम इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फलों की बैअ् से मना फ़रमाया जब तक काम के क़ाबिल न हों बाइअ् व मुश्तरी दोनों को मना फ़रमाया और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि खजूरों की बैअ् से मना फ़रमाया जब तक सुर्ख़ या ज़र्द न हो जायें और खेत में बालों के अन्दर जो ग़ल्ला है उसकी बैअ् से मना किया जब तक सफ़ेद न हो जाये और आफ़त पहुँचने से अमन न हो जाये।

हदीस (11) सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया अगर तूने अपने भाई के हाथ फल बेच दिये और आफ़त पहुँचगई तुझे उससे कुछ लेना हलाल नहीं, अपने भाई का माल नाहक़ किस चीज़ के बदले में तू लेगा।

हदीस (12) बुख़ारी व मुस्लिम में अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलिहि व सल्लम ने बैअे मुलामसा और बैअे मुनाबज़ह से मना फ़रमाया बैअे मुलाबसा यह है कि एक शख़्स ने दूसरे का कपड़ा छू दिया उलट पलट के देखा भी नहीं और मुनाबज़ा यह है कि एक ने अपना कपडा दूसरे की तरफ़ फेंक दिया और दूसरे ने उसकी तरफ़ फेंक दिया यही बैअ् होगई न देखा न भाला न दोनों की रज़ा'मन्दी हुई।

हदीस (13) सहीह मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुजूर ने बैउल हिसात (कंकरी फेंक देने से जाहिलिय्यत में बैअ् हो जाती थी) और बैअे ग़रर से मना फ़रमाया- (जिसमें धोखा हो)।

हदीस (14) तिर्मिज़ी ने जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने इस्तिसना से मना फ़रमाया मगर जबकि मालूम शय का इस्तिसना हो।

हदीस (15) इमाम मालिक व अबू दाऊद व इब्ने माजा ब'रिवायत अम्र बिन शुऐब अन अबीही अन जद्देही रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने बैआना से मना फ़रमाया।

हदीस (16) अबू दाऊद ने मौला अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलिहि व सल्लम ने मुज़तर (मुकरह) की बैअ् से मना फ़रमाया यानी जबरन किसी की चीज़ न ख़रीदी जाये और ख़रीदने पर मजबूर न किया जाये।

हदीस (17) तिर्मिज़ी ने हकीम बिन हज़ाम रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने मुझे ऐसी चीज़ के बेचने से मना फ़रमाया जो मेरे पास न हो और तिर्मिज़ी की दूसरी रिवायत और अबू दाऊद व नसई की रिवायत में यह है कि कहते हैं या रसूलल्लाह मेरे पास कोई शख़्स आता है और मुझसे कोई चीज़ ख़रीदना चाहता है वह चीज़ मेरे पास नहीं होती (मैं बैअ् कर देता हूँ) फिर बाज़ार से ख़रीदकर उसे देता हूँ जो चीज़ तुम्हारे पास न हो उसे बैअ् न करो।

हदीस (18) इमाम मालिक व तिर्मिज़ी व नसई व अबूदाऊद अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने एक बैअ् में दो बैअ् से मनअ् फ़रमाया उसकी सूरत यह है कि यह चीज़ नक़द इतने को और उधार इतने को या यह कि मैंने यह चीज़ तुम्हारे हाथ इतने में बैअ् की इस शर्त पर कि तुम अपनी फुलाँ चीज़ मेरे हाथ इतने में बेचो।

हदीस (19) तिर्मिज़ी व अबू दाऊद व नसई ब'रिवायत अम्र बिन शुऐब अन अबीही अन जद्देही रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "क़र्ज़ व बैअ् हलाल नहीं (यानी यह चीज़ तुम्हारे हाथ बेचता हूँ इस शर्त पर कि तुम मुझे क़र्ज़ दो या यह कि किसी को क़र्ज़ दे फिर उसके हाथ ज़्यादा दामों में चीज़ बैअ् करे) और बैअ् में दो शर्तें हलाल नहीं और उस चीज़ का नफ़ा हलाल नहीं जो ज़मान में न हो और जो चीज़ तेरे पास न हो उसका बेचना हलाल नहीं"।

हदीस (20) इमाम अहमद व अबू दाऊद व इब्ने माजा इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलिहि व सल्लम ने बैआना से मना फ़रमाया है।

तम्बीह:— इस बाब में बैअ़े फ़ासिद व बातिल दोनों के मसाइल ज़िक्र किये जायेंगे।

मसअ्ला.1:— जिस सूरत में बैअ् का कोई रुक्न मफ़कूद न हो(न छूटे)या वह चीज़ बैअ् के क़ाबिल ही न हो वह बैअ़े बातिल है पहली की मिसाल यह है कि मजनून या लायाक़िल(ना समझ)बच्चा ने ईजाब या क़बूल किया कि उनका क़ौल शरअ़न मोअ्तबर ही नहीं लिहाज़ा ईजाब या क़बूल पाया ही न गया दूसरी की मिसाल यह है कि मबीअ् मुर्दार या ख़ून या शराब या आज़ाद हो कि यह चीज़ें बैअ् के क़ाबिल नहीं हैं और अगर रुकने बैअ् या महल्ले बैअ् में ख़राबी न हो बल्कि उसके एलावा कोई ख़राबी हो तो बैअ़े फ़ासिद है मस्लन समने ख़मर(शराब की क़ीमत)हो या मबीअ् की तस्लीम पर कुदरत न हो या बैअ् में कोई शर्त खिलाफ़े मुक़तज़ाये अक़्द हो(कोई शर्त ख़रीद ो फरोख़्त तय होने के ख़िलाफ़ हो)(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:— मबीअ् या समन दोनों में से एक भी ऐसी चीज़ हो जो किसी दीने आसमानी में माल न हो जैसे मुर्दार, ख़ून, आज़ाद उनको चाहे मबीअ् किया जाये या समन बहर हाल बैअ् बातिल है और अगर बाज़ दीन में माल हों बाज़ में नहीं जैसे शराब कि अगरचे इस्लाम में यह माल नहीं मगर दीने मूसवी व ईसवी में माल थी उसका मबीअ् क़रार देंगे तो बैअ् बातिल है और समन क़रार दें तो फ़ासिद मस्लन शराब के बदले में कोई चीज़ ख़रीदी तो बैअ् फासिद है और अगर रूपया पैसा से ख़रीदी तो बातिल। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:— माल वह चीज़ है जिसकी तरफ़ तबीअ़त का मैलान हो जिसको दिया लिया जाता हो जिस से दूसरों को रोकते हों जिसे वक़्ते ज़रूरत के लिये जमा रखते हों लिहाज़ा थोड़ी सी मिट्टी जब तक वह अपनी जगह पर है माल नहीं और उसकी बैअ् बातिल है अलबत्ता अगर उसे दूसरी जगह मुन्तक़िल करके ले जायें तो अब माल है और बैअ् जाइज़ गेहूँ का एक दाना उसकी भी बैअ् बातिल है, इन्सान के पाख़ाना पेशाब की बैअ् बातिल है जबतक मिट्टी उस पर ग़ालिब न आजाये और खाद न हो जाये गोबर, मेंगनी, लीद की बैअ् बातिल नहीं अगरचे दूसरी चीज़ की उनमें आमेज़िश न हो लिहाज़ा उपले का बेचना, ख़रीदना या इस्तेमाल करना ममनूअ् नहीं।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.4:— मुर्दार से मुराद ग़ैर मज़बूह़ है चाहे वह खुद मरगया हो या किसी ने उसको गला घोंट कर मार डाला हो या किसी जानवर ने उसे मार डाला हो, मछली और टिड्डी मुर्दार में दाख़िल नहीं कि यह ज़िबह़ करने की चीज़ ही नहीं। (रद्दुलमुहतार,वग़ैरह)

मसअ्ला.5:— मादूम (जो चीज़ मौजूद न हो) की बैअ् बातिल है मस्लन दो मन्ज़िला मकान दो शख़्सों में मुश्तरक था एक का नीचे वाला था दूसरे का ऊपर वाला वह गिरगया या सिर्फ़ बाला ख़ाना गिरा बाला ख़ाना वाले ने गिरने के बाद बाला ख़ाना बैअ् किया यह बैअ् बातिल है कि जब वह चीज़ ही नहीं बैअ् किस चीज़ की होगी• और अगर बैअ् से मुराद उस हक़ को बेचना है कि मकान के ऊपर उसको मकान बनाने का हक़ था यह भी बातिल है कि बैअ् माल की होती है और यह महज़ एक हक़ है माल नहीं और अगर बाला ख़ाना मौजूद है तो उसकी बैअ् हो सकती है। (फ़तहुल क़दीर)

मसअ्ला.6:— जो चीज़ ज़मीन के अन्दर पैदा होती है जैसे मूली, गाजर वग़ैरह अगर अब तक पैदा न हुई हो या पैदा होना मालूम न हो उसकी बैअ् बातिल है और अगर मालूम हो कि मौजूद हो चुकी है तो बैअ् सहीह़ है और मुश्तरी को ख़्यारे रूयत हासिल होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

छुपी हुई चीज़ की बैअ्

मसअ्ला.7:— बाक़िला के बीज और चावल और तिल की बैअ् अगर यह सब छिलके के अन्दर हों जब भी जाइज़ है यूँही अखरोट, बादाम, पिस्ता अगर पहले छिलके में हों (यानी उन चीज़ों में दो छिल्के होते हैं हमारे मुलक में यह सब चीज़ें ऊपर का छिलका उतारने के बाद आती हैं अगर ऊपर के छिलके न उतरे हों जब भी बैअ् जाइज़ है) यूँही गेहूँ के दाने बाल में हों जब भी बैअ् जाइज़ है और इन सब सूरतों में यह बाइअ् के ज़िम्मे हैं कि फली से बाक़िला के बीज या धान की भूसी से चावल या छिलकों से तिल और बादाम वग़ैरह और बाल से गेहूँ निकालकर मुश्तरी के सिपुर्द करे और अगर छिल्कों समेत बैअ्

की है मसलन बाक़िला की फलियाँ या ऊपर के छिलके समेत बादाम बेचा या धान बेचा तो निकाल कर देना बाइअ् के ज़िम्मे नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– गुठलियाँ जो खजूर में हों या बिनौले जो रूई के अन्दर हों या दूध जो थन के अन्दर हो इन सब की बैअ् ना'जाइज़ है कि यह सब चीज़ें उ़रफ़न मा'दूम हैं और खजूर से गूठलियाँ या रूई से बिनौले या थन से दूध निकालने के बा'द बैअ् जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– पानी जब तक कुएँ या नहर में है उसकी बैअ् जाइज़ नहीं और जब उसको घड़े वग़ैरह में भर लिया मालिक होगया बैअ् कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– बारिश का पानी जमा करने से मालिक होजाता है बैअ् कर सकता है पुख़्ता हौज़ में जो पानी जमा करलिया है बैअ् कर सकता है बशर्ते कि पानी की आमद का सिलसिला ख़त्म होगया हो।

मसअ्ला.11:– भिश्ती से पानी मश्कें मोल लीं या'नी अभी उसने भरी भी नहीं हैं उनको ख़रीद लेना दुरूस्त है कि मुसलमानों का उ़स पर अ़मल दरआमद है, अगर किसी से कहा पानी भरकर मेरे जानवरों को पिलाया करो एक रूपये माहवार दूँगा यह ना'जाइज़ है और अगर यह कह दिया कि महीने में इतनी मश्कें पिलाओ मश्क मा'लूम है तो जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– मबीअ् में कूछ मौजूद है और कूछ मा'दूम (जो मौजूद न हो) जब भी बैअ् बातिल जैसे गुलाब और बेले चमेली के फूल जबकि इनकी पूरी फ़स्ल बेची जाये और जितने मौजूद हैं उनको बैअ् किया तो बैअ् जाइज़। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.13:– जानवर की पुश्त में या मादा के पेट में जो नुत्फ़ा है कि आइन्द पैदा होगा उसकी बैअ् बातिल है। (दुर्रेमुख़्तार)

इशारा और नाम दोनों हों तो किसका एअ्तिबार है

मसअ्ला.14:– मबीअ् की त़रफ़ इशारा किया और नाम भी ले दिया मगर जिसकी त़रफ़ इशारा है उसका वह नाम नहीं मस्लन कहा कि उस गाय को इतने में बेचा और वह गाय नहीं बल्कि बैल है या उस लोन्डी को बेचा और वह लोन्डी नहीं ग़ुलाम है उसका हुक्म यह है कि जो नाम ज़िक्र किया है और जिसकी त़रफ़ इशारा है दोनों की एक जिन्स है तो बैअ् स़ह़ीह़ है कि अ़क़्द का तअ़ल्लुक़ उसके साथ है जिसकी त़रफ़ इशारा है और वह मौजूद है मगर जो चीज़ समझकर मुश्तरी लेना चाहता है चूँकि वह नहीं है लिहाज़ा उसको इख़्तेयार है कि ले या न ले और जिन्स मुख़्तलिफ़ हो तो बैअ् बातिल है कि अ़क़्द का तअ़ल्लुक़ इस सूरत में उसके साथ है जिसका नाम लिया गया और वह मौजूद नहीं लिहाज़ा अ़क़्द बातिल, इन्सान में मर्द, औरत दो जिन्स मुख़्तलिफ़ हैं लिहाज़ा लोन्डी कहकर बैअ् की और निकला ग़ुलाम या बिल'अ़क्स यह बैअ् बातिल है और जानवरों में नर, मादा एक जिन्स है गाय कहकर बैअ् की और निकला बैल या बिल'अ़क्स तो बैअ् स़ह़ीह़ है और मुश्तरी को ख़्यार ह़ासिल है। (हिदाया)

मसअ्ला.15:– याक़ूत कहकर बेचा और है शीशा बैअ् बातिल है कि मबीअ् मा'दूम (माल मौजूद नहीं) है और याक़ूत सुर्ख़ कहकर रात में बेचा और था याक़ूत ज़र्द तो बैअ् स़ह़ीह़ है और मुश्तरी को ख़्यार है।(फ़तह)

दो चीज़ों को बैअ् में जमा किया उनमें एक क़ाबिले बैअ् न हो

मसअ्ला.16:– आज़ाद, ग़ुलाम को जमा करके एक साथ दोनों को बेचा या ज़बीहा या मुर्दार को एक अ़क़्द में बैअ् किया ग़ुलाम और ज़बीहा की भी बैअ् बातिल है अगरचे इन सूरतों में समन की तफ़सील करदी गई हो कि इतना उसका समन है और इतना उसका और अगर अ़क़्द दो हों तो ग़ुलाम और ज़बीहा की स़ह़ीह़ है आज़ाद और मुर्दार की बातिल, मुदब्बर या उम्मे वलद के साथ मिलाकर ग़ुलाम की बैअ् की ग़ुलाम की बैअ् स़ह़ीह़ है उनकी नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– ग़ैर वक़्फ़ को वक़्फ़ के साथ मिलाकर बैअ् किया ग़ैर वक़्फ़ की स़ह़ीह़ है और वक़्फ़ की बातिल और मस्जिद के साथ दूसरी चीज मिलाकर बैअ् की तो दोनों बातिल। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.18:– दो शख़्स एक मकान में शरीक हैं उनमें एक ने दूसरे के हाथ पूरा मकान बेच दिया तो उसके हिस्से की बैअ् सहीह है और जितना मकान में उसका हिस्सा है उसी की बैअ् हुई और उसके मकाबिल समन का जो हिस्सा होगा वह मिलेगा कुल नहीं मिलेगा। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.19:– दो शख़्स मकान या ज़मीन में शरीक हैं एक ने उसमें से एक मुअय्यन टुकड़ा बैअ् करदिया यह बैअ् सहीह नहीं और अगर अपना हिस्सा बेच दिया तो बैअ् सहीह है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.20:– मुसल्लम (पूरा) गांव बेचा जिसमें क़ब्रिस्तान और मस्जिदें भी हैं और उनका इस्तिस्ना **नहीं** किया तो अलावा मसाजिद व मक़ाबिर के गाँव की बैअ् सहीह है और मसाजिद व मक़ाबिर का आदतन इस्तिसना (अलग) क़रार दिया जायेगा अगरचे इस्तिसना मज़कूर न हो (अलग करना ज़िक्र न हो)।

मसअ्ला.21:– इन्सान के बाल की बैअ् दुरुस्त नहीं और उन्हें काम में लाना भी जाइज़ नहीं मसलन उनकी चोटियाँ बनाकर औरतें इस्तेमाल करें हराम है हदीस में उस पर लानत फ़रमाई।

फ़ायदा :– हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम के मूये मुबारक (बाल शरीफ़) जिसके पास हों उससे दूसरे ने ले लिये और हदिया में कोई चीज़ पेश की यह दुरुस्त है जबकि बतौर बैअ् **न हो** और मूये मुबारक से बरकत हासिल करना और उसका ग़साला पीना आँखों पर मलना बग़रज़े शिफ़ा मरीज को पिलाना दुरुस्त है जैसा कि अहादीसे सहीहा से साबित है।

मसअ्ला.22:– जो चीज़ उसकी मिल्क में न हो उसकी बैअ् जाइज़ नहीं यानी इस उम्मीद पर कि मैं उसको ख़रीद लूँगा या हिबा या मीरास के ज़रिये या किसी और तरीके से मुझे मिल जायेगी उसकी अभी से बैअ् करदे जैसा कि आज कल अकसर ताजिर किया करते हैं यह ना'जाइज़ है जबकि बैअ् सलम के तौर पर न हो (जिसका ज़िक्र आगे आयेगा) फिर अगर इस तरह बैअ् की और ख़रीदकर मुश्तरी को देदी जब भी बातिल ही रहेगी, यूँही वह चीज़ जो अभी तैयार नहीं है बल्कि आइन्दा होगी मसलन कपड़ा, गुड़, शकर जो अभी मौजूद नहीं है इस उम्मीद पर बेची कि आइन्दा हो जायेगी यह बैअ् भी बातिल है कि मादूम की बैअ् है और अगर दूसरे की चीज़ बतौरे वकालत या फ़ुज़ूली की बैअ् हो तो मालिक की इजाज़त पर मौकूफ़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.23:– बैअ् बातिल का हुक्म यह है कि मबीअ् पर अगर मुश्तरी का कब्ज़ा होजाये जब भी मुश्तरी उसका मालिक नहीं होगा और मुश्तरी का वह क़ब्ज़ा क़ब्ज–ए–अमानत क़रार पायेगा(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला24:– सिर्का के दो मटके ख़रीदे फिर मालूम हुआ कि एक में शराब है और दूसरे में सिर्का दोनों की बैअ् ना'जाइज़ है अगरचे हर एक समन अलग–अलग बयान कर दिया हो। (आलमगीरी)

बैअ् में शर्त

मसअ्ला.25:– बैअ् में ऐसी शर्त ज़िक्र करना कि खुद अ़क़्द उसका मुक़तज़ी है मुज़िर नहीं बाइअ् पर मबीअ् के क़ब्ज़ा दिलाने की शर्त और मुश्तरी पर समन अदा करने की शर्त और अगर वह शर्त मुक़तज़ाये अ़क़्द नहीं मगर अ़क़्द के मुनासिब हो इस शर्त में भी हरज नहीं मसलन यह कि मुश्तरी समन के लिये कोई ज़ामिन पेश करे या समन के मुक़ाबिल में फ़ुलां चीज़ रेहन रखे और जिसको ज़ामिन बताया है उसने उसी मज्लिस में ज़मानत भी करली और अगर उसने ज़मानत क़बूल न की तो बैअ् फ़ासिद है और अगर मुश्तरी ने ज़मानत या रेहन से गुरेज़ की तो बाइअ् बैअ् को फ़स्ख़ कर सकता है यूँही मुश्तरी ने बाइअ् से ज़ामिन तलब किया कि मैं इस शर्त से ख़रीदता हूँ कि फ़ुलाँ शख़्स ज़ामिन होजाये कि मबीअ् पर क़ब्ज़ा दिलाये या बैअ् में किसी का हक़ निकलेगा तो समन वापस मिलेगा यह शर्त भी जाइज़ है और अगर वह शर्त न इस क़िस्म की हो न उस क़िस्म की मगर शरअ् ने उसको जाइज़ रखा है जैसे ख़्यारे शर्त या वह शर्त ऐसी है जिस पर मुसलमानों का आम तौर पर अमल'दरआमद है जैसे आज–कल घड़ियों में गारन्टी साल दो साल की हुआ करती है कि इस मुद्दत में ख़राब होगई तो दुरुस्ती का ज़िम्मेदार बाइअ् है ऐसी शर्त भी जाइज़ है और यह भी न हो यानी शरीअ़त में उसका जवाज़ नहीं वारिद हो और मुसलमान का तआ़मुल भी न हो वह शर्त

फ़ासिद है और बैअ़ को भी फ़ासिद कर देती है मसलन कपड़ा ख़रीदा और यह शर्त करली कि बाइअ़ उसको कतअ़ करके सी देगा। (आलमगीरी, वग़ैरा)

मसअ्ला.26:– गुलाम को इस शर्त पर बैअ़ किया कि मुश्तरी उसे आज़ाद करदे या मुदब्बर या मुकातब करें या लोन्डी को इस शर्त पर कि उसे उम्मे वल्द बनाये यह बैअ़ फ़ासिद है कि जो शर्त मुक़तज़ाये अ़क्द के ख़िलाफ़ हो और उसमें बाइअ़ या मुश्तरी या ख़ुद मबीअ़ का फ़ायदा हो (जबकि मबीअ़ अहले इस्तेहक़ाक़ से हो) वह बैअ़ को फ़ासिद कर देती है और अगर जानवर को इस शर्त पर बेचा कि मुश्तरी उसे बैअ़ न करे तो बैअ़ फ़ासिद नहीं कि यहाँ वह तीनों बातें नहीं और अगर इस शर्त से गुलाम बेचा था कि मुश्तरी उसे आज़ाद कर देगा और मुश्तरी ने इस शर्त पर ख़रीदा कि आज़ाद कर दिया तो बैअ़ सहीह होगई और गुलाम आज़ाद होगया। (हिदाया)

मसअ्ला.27:– गुलाम को ऐसे के हाथ बेचा कि मालूम है वह आज़ाद कर देगा मगर बैअ़ में आज़ादी की शर्त मज़कूर न हुई बैअ़ जाइज़ है। (हिदाया)

मसअ्ला.28:– गुलाम बेचा और यह शर्त की कि वह गुलाम बाइअ़ की एक महीना ख़िदमत करेगा या मकान बेचा और शर्त की कि बाइअ़ एक माह तक उसमें सुकूनत रखेगा या यह शर्त की कि मुश्तरी इतना रूपया मुझे क़र्ज़ दे या फ़ुलाँ चीज़ हदिया करे या मुअ़य्यन चीज़ को बेचा और शर्त की कि एक माह तक मबीअ़ पर क़ब्ज़ा न देगा इन सब सूरतों में बैअ़ फ़ासिद है। (हिदाया)

मसअ्ला.29:– बैअ़ में समन का ज़िक्र न हुआ यानी यह कहा कि जो बाज़ार में उसका नर्ख़ है दे देना यह बैअ़ फ़ासिद है और अगर यह कहा कि समन कुछ नहीं तो बैअ़ बातिल है कि बिग़ैर समन बैअ़ नहीं हो सकती। (दुर्रेमुख़्तार)

जो शिकार अभी क़ब्ज़े में नहीं आया है उसकी बैअ़

मसअ्ला.30:– जो मछली कि दरिया या तालाब में है अभी उसका शिकार किया ही नहीं उसको अगर नुक़ूद यानी रूपये पैसे से बैअ़ किया तो बातिल है कि वह मिल्क में नहीं और माले मुतक़व्विम नहीं और अगर उसको ग़ैर नुक़ूद मसलन कपड़ा या किसी और चीज़ के बदले में बैअ़ किया है तो बैअ़ फ़ासिद है यूँही अगर शिकार करके उसे दरिया या तालाब में छोड़ दिया जब भी उसकी बैअ़ फ़ासिद है कि उसकी तस्लीम पर क़ुदरत नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.31:– मछली को शिकार करने के बाद किसी गढ़े में डाल दिया वह गढ़ा ऐसा है कि बे किसी तर्कीब के उसमें से पकड़ सकता है तो बैअ़ करना भी जाइज़ है कि अब वह मक़दूरूत्तसलीम भी है वह ऐसी ही है जैसे पानी के घड़े में रखी है और अगर उसे पकड़ने के लिये शिकार करने की ज़रूरत होगी कांटे या जाल वग़ैरह से पकड़ना पड़ेगा तो जब तक पकड़ न ले उसकी बैअ़ सहीह नहीं और अगर मछली ख़ुद ब ख़ुद गड़े में आगई और वह गड़ा इस लिये मुक़र्रर कर रखा है तो यह शख़्स उसका मालिक होगया दूसरे को उसका लेना जाइज़ नहीं फिर अगर बेजाल वग़ैरह उसे पकड़ सकते हैं तो उसकी बैअ़ भी जाइज़ है कि वह मकदूरूत्तस्लीम भी है वरना बैअ़ ना'जाइज़ और अगर वह इस लिये नहीं तैयार कर रखा है तो मालिक नहीं मगर जबकि दरिया या तालाब की तरफ़ जो रास्ता था उसे मछली के आने के बाद बन्द कर दिया तो मालिक होगया और बिग़ैर जाल वग़ैरह के पकड़ सकता है तो बैअ़ जाइज़ है वरना नहीं इसी तरह अगर अपनी ज़मीन में गड़ा खोदा था उसमें हिरन वग़ैरा कोई शिकार गिर पड़ा अगर उसने उसी ग़र्ज़ से खोदा था तो यही मालिक है दूसरे को उसका लेना जाइज़ नहीं और इसलिए नहीं खोदा तो जो पकड़ लेजाये उसका है मगर मालिके ज़मीन अगर शिकार के क़रीब हो कि हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ सकता है तो उसी का है दूसरे को पकड़ना जाइज़ नहीं दूसरा पकड़े भी तो मालिक नहीं होगा यह होगा, यूँही अगर सुखाने के लिये जाल ताना था कोई शिकार उसमें फंसा तो जो पकड़ले उसी का है और अगर शिकार ही के लिये ताना था तो शिकार का मालिक यह है, जाल में शिकार फंसा मगर तड़पा

उससे छूटगया दूसरे ने पकड़ लिया तो यह मालिक है और जाल वाला पकड़ने के लिये क़रीब आ गया कि हाथ बढ़ाकर जानवर पकड़ सकता है उस वक़्त तोड़कर निकल गया और दूसरे ने पकड़ लिया तो जाल वाला मालिक है पकड़ने वाला मालिक नहीं, बाज़ और कुत्ते के शिकार का यही हुक्म है। (फ़तहुल'क़दीर रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला'32:– शिकारी जानवर के अण्डे और बच्चे का भी वही हुक्म है जो शिकार का है यानी अगर ऐसी जगह में अण्डा या बच्चा किया कि उसने उसी काम के लिये मुक़र्रर कर रखी है तो यह मालिक है वरना जो लेजाये उसका है। (फ़तहुलक़दीर)

मसअ्ला.33:– किसी मकान के अन्दर शिकार चला आया और उसने दरवाज़ा उसके पकड़ने के लिये बन्द कर लिया तो यह मालिक है दूसरे को पकड़ना जाइज़ नहीं और ला'इल्मी में उसने दरवाज़ा बन्द किया तो यह मालिक नहीं, और शिकार उसके मकान के महाज़ात (सीध) में हवा में उड़ रहा था तो जो शिकार करे वह मालिक है यूँही उसके दरख़्त पर शिकार बैठा था जिसने उसे पकड़ा वह मालिक है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.34:– रूपये पैसे लुटाते हैं अगर किसी ने अपने दामन इस लिये फैला रखे थे कि उसमें गिरें तो मैं लूँगा तो जितने उसके दामन में आये उसके हैं और अगर दामन इस लिये नहीं फैलाये थे मगर गिरने के बा'द उसने दामन समेट लिये जब भी मालिक है और अगर यह दोनों न हों तो दामन में गिरने से उसकी मिल्क नहीं दूसरा ले सकता है, शादी में छुआरे और शकर लुटाते हैं उनका भी यही हुक्म है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.35:– उसकी ज़मीन में शहद की मक्खियों ने मुहार लगाई तो बहर हाल शहद का मालिक यही है चाहे उसने ज़मीन को इसलिये छोड़ रखा हो या नहीं कि उनकी मिसा्ल खुदरू दरख़्त(खुद से उगने वाले पौधे)की है कि मालिके ज़मीन उसका मालिक होता है यह उसकी ज़मीन की पैदावार है।

मसअ्ला.36:– तालाबों, झीलों का मछलियों के शिकार के लिये ठेका देना जैसा कि हिन्दुस्तान के बहुत से ज़मीनदार करते हैं यह ना'जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.37:– परिन्द जो हवा में उड़ रहा है अगर उसको अभी तक शिकार न किया हो तो बैअ् बाति़ल है और अगर शिकार करके छोड़ दिया है तो बैअ् फ़ासिद है कि तस्लीम पर क़ुदरत नहीं और अगर वह परिन्द ऐसा है कि उस वक़्त हवा में उड़ रहा है मगर ख़ुद ब'ख़ुद वापस आ जायेगा जैसे पलाऊ कबूतर तो अगरचे उस वक़्त उसके पास नहीं आया है बैअ् जाइज़ है हक़ीक़तन नहीं तो हुकमन इस की तस्लीम पर क़ुदरत ज़रूर है। (दुर्रेमुख़्तार)

बैअ् फ़ासिद की दूसरी सूरतें

मसअ्ला.38:– जो दूध थन में है उसकी बैअ् ना'जाइज़ है यूँही ज़िन्दा जानवर का गोश्त चर्बी, चमड़ा, सिरी, पाये, ज़िन्दा दुम्बा की चक्की की बैअ् ना'जाइज़ है इसी त़रह उस ऊन की बैअ् जो दुम्बा या भेंड़ के जिस्म में है अभी काटी न हो और उस मोती की जो सीप में हो या घी की जो अभी दूध से निकाला न हो या कड़ियों की जो छत में हैं या जो थान ऐसा हो कि फाड़कर न बेचा जाता हो उसमें से एक गज़, आधा गज़ की बैअ् जैसे मशरूअ् और गुलबन्द के थान यह सब ना'जाइज़ हैं और अगर मुश्तरी ने अभी बैअ् को फ़स्ख़ नहीं किया था कि बाइअ् ने छत में से कड़ियाँ निकालदीं या थान में से वह टुकड़ा फाड़ दिया तो अब यह बैअ् स़ह़ीह़ होगई।(हिदाया)

मसअ्ला.39:– इस मरतबा जाल डालने में जो मछलियाँ निकलेंगी उनको बैअ् किया या ग़ोताख़ोर ने यह कहा कि इस ग़ोते में जो मोती निकलेगी उनको बेचा यह बैअ् बात़िल है। (फ़तहुलक़दीर)

मसअ्ला.40:– दो कपड़ों में से एक या दो ग़ुलामों में से एक की बैअ् ना'जाइज़ है जबकि ख़्यारे ताई़न शर्त़ न हो और अगर मुश्तरी ने दोनों पर क़ब्ज़ा कर लिया तो उनमें से एक का क़ब्ज़ा क़ब्ज़ा–ए–अमानत है और दूसरे का क़ब्ज़ा–ए–ज़मान। (दुर्रेमुख़्तार,बहर)

मसअ्ला.41:– चरागाह में जो घास है उसकी बैअ् फ़ासिद है हाँ अगर घास को काटकर उसने जमा कर लिया तो बैअ् दुरुस्त है जिस तरह पानी को घड़े मटके मश्क में भर लेने के बाद बेचना जाइज़ है और चरागाह का ठेका पर देना भी जाइज़ नहीं यह उस वक़्त है कि घास खुद उगी हो उसको कुछ न करना पड़ा हो और अगर उसने ज़मीन को इस लिये छोड़ रखा हो कि उसमें घास पैदा हो और ज़रूरत के वक़्त पानी भी देता हो तो उसका मालिक है और अब बेचना जाइज़ है मगर ठेका अब भी ना'जाइज़ है कि अतलाफे ऐन (ख़ास चीज़ का ख़त्म हो जाने) पर इजारा दुरुस्त नहीं, ठेका के लिये यह हीला हो सकता है कि उस ज़मीन को जानवरों के ठहराने के लिये ठेका पर दे फिर मुस्ताजिर उसकी घास भी चराये। (दुर्रेमुख़्तार, बहर)

मसअ्ला.42:– कच्ची खेती जिसमें अभी ग़ल्ला तैयार नही हुआ है उसकी बैअ् की तीन सूरतें हैं, (1)अभी काट लेगा (2) या अपने जानवरों से चरा लेगा (3) या इस शर्त पर लेता है कि उसे तैयार होने तक छोड़ रखेगा पहली दो सूरतों में बैअ् जाइज़ है और तीसरी सूरत में चूँकि इस शर्त में मुश्तरी का नफ़ा है बैअ् फ़ासिद है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.43:– फल उस वक़्त बेच डाले कि अभी नुमायां भी नहीं हुए हैं यह बैअ् बातिल है और अगर ज़ाहिर हो चुके मगर क़ाबिले इन्तेफ़ाअ् (फ़ायदा उठाने के लायक़) नहीं हुए यह बैअ् सहीह है मगर मुश्तरी पर फ़ौरन तोड़ लेना ज़रूरी है और अगर यह शर्त करली है कि जब तक तैयार नहीं होंगे दरख़्त पर रहेंगे तो बैअ् फ़ासिद है और अगर बिला शर्त ख़रीदे हैं मगर बाइअ् ने बाद में इजाज़त दी कि तैयार होने तक दरख़्त पर रहने दो तो अब कोई हरज नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.44:– रेशम के कीड़े और उनके अण्डों की बैअ् जाइज़ है। (तनवीर) दो शख़्स अगर रेशम के कीड़ों में शिरकत करें यह जब हो सकती है कि अण्डे दोनों के हों, और काम भी दोनों करें और जितने जितने अण्डे हों उन्हीं के हिसाब से शिरकत के हिस्से हों यह नहीं हो सकता कि एक के अण्डे हों और एक काम करे और दोनों निस्फ़ निस्फ़ या कम व बेश के शरीक हों बल्कि अगर ऐसा किया है तो कीड़े उसके होंगे जिसके अण्डे हैं और काम करने वालों के लिये उजरते मिस्ल मिलेगी। यूँही अगर गाय, बकरी, मुर्ग़ी, किसी को आधे आध पर देदी कि वह खिलायेगा, चरायेगा और जो बच्चे होंगे दोनों आधे आधे बांट लेंगे जैसा कि अकसर देहातों में करते हैं यह तरीक़ा ग़लत है बच्चों में शिरकत नहीं होगी बल्कि बच्चे उसके होंगे जिसके जानवर हैं उस दूसरे को चारे की क़ीमत जब कि अपना खिलाया हो और चराई और रखवाली की उजरत मिस्ल मिलेगी यूँही अगर एक शख़्स ने अपनी ज़मीन दूसरे को पेड़ लगाने के लिये एक मुद्दते मुअय्यन तक के लिये देदी कि दरख़्त और फल दोनों निस्फ़ निस्फ़ लेंगे यह भी सहीह नहीं वह दरख़्त और फल कुल मालिके ज़मीन के होंगे और दूसरे के लिये दरख़्त की वह कीमत मिलेगी नसब करने के दिन थी और जो कुछ काम किया है उसकी उजरते मिस्ल मिलेगी। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.45:– भागे हुए गुलाम की बैअ् ना'जाइज़ है और अगर जिसके हाथ बेचता है वह गुलाम भागकर उसी के यहाँ छुपा हो तो बैअ् सहीह है फिर अगर मुश्तरी ने उस गुलाम पर क़ब्ज़ा करते वक़्त किसी को गवाह नहीं बनाया है तो बैअ् के लिये जदीद क़ब्ज़ा की ज़रूरत नहीं यानी फ़र्ज़ करो बैअ् के बाद ही मरगया तो मुश्तरी को समन देना पड़ेगा और क़ब्ज़ा करते वक़्त गवाह कर लिया है तो यह क़ब्ज़ा बैअ् के क़ब्ज़ा के क़ायम मक़ाम नहीं बल्कि यह क़ब्ज़ा क़ब्ज़ाए अमानत है उसके बाद फिर क़ब्ज़ा करना होगा और इस कब्ज़ा–ए–जदीद से पहले मरा तो बाइअ् का मरा मुश्तरी को कुछ समन देना नहीं पड़ेगा और अगर मुश्तरी के यहाँ नहीं छुपा है मगर जिसके यहाँ है उससे मुश्तरी आसानी के साथ बिग़ैर मुक़द्दमा बाज़ी के ले सकता है जब भी सहीह है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.46:– एक शख़्स ने किसी की कोई चीज़ ग़सब करली है मालिक ने उसको ग़ासिब के हाथ बेच डाला बैअ् सहीह है।

मसअ्ला.47:– औरत के दूध को बेचना ना'जाइज़ है अगरचे उसे निकालकर किसी बर्तन में रख लिया हो अगरचे जिसका दूध हो वह बान्दी हो। (हिदाया, वग़ैरह)

मसअ्ला.48:– ख़िन्ज़ीर के बाल या और किसी जुज़ की बैअ् बातिल है और मुर्दार के चमड़े की भी बैअ् बातिल है जबकि पकाया न हो और दबाग़त करली हो तो बैअ् जाइज़ है और उसको काम में लाना भी जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.49:– तेल नापाक होगया उस की बैअ् जाइज़ है और खाने के अ़लावा उसको दूसरे काम में लाना भी जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार) मगर यह ज़रूर है कि मुश्तरी को उसके नजिस होने की इत्तिलाअ् देदे ताकि वह खाने के काम में न लाये और यह भी वजह है कि निजासत ऐ़ब है और ऐ़ब पर मुत्तला करना ज़रूर है नापाक तेल मस्जिद में जलाना मना है घर में जला सकता है, उसका इस्तेमाल अगरचे जाइज़ है मगर बदन या कपड़े में जहाँ लग जायेगा नापाक हो जायेगा पाक करना पड़ेगा, बाज़ दवायें इस क़िस्म की बनाई जाती हैं जिस में कोई नापाक चीज़ शामिल करते हैं मसलन किसी जानवर का पित्ता उसको अगर बदन पर लगाएग तो पाक करना ज़रूरी है।

मसअ्ला.50:– मुर्दार की चर्बी को बेचना या उससे किसी क़िस्म का नफ़ा उठाना ना'जाइज़ है न उसे चराग़ में जला सकते हैं न चमड़ा पकाने के काम में ला सकते हैं। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.51:– मुर्दार का पुट्ठा, हड्डी, पर, चोंच, खुर, नाखुन, इन सबको बेच भी सकते हैं और काम में भी ला सकते हैं. हाथी के दांत और हड्डी को बेच सकते हैं और उसकी चीज़ें बनी हुई इस्तेमाल कर सकते हैं। (रद्दुलमुहतार)

जितने में चीज़ बेची उसको उससे कम दाम में ख़रीदना

मसअ्ला.52:– जिस चीज़ को बैअ् कर दिया है और अभी पूरा समन (क़ीमत) वसूल नहीं हुआ है उसको मुश्तरी से कम दाम में ख़रीदना जाइज़ नहीं अगरचे उस वक़्त उसका नर्ख़ कम होगया हो यूँही अगर मुश्तरी मरगया उसके वारिस से ख़रीदी जब भी जाइज़ नहीं मालिक ने खुद नहीं बैअ् की है बल्कि उसके वकील ने बैअ् की जब भी यही हुक्म है कि कम में ख़रीदना ना'जाइज़ और अगर उतने में ही ख़रीदी मगर पहले अदाये समन की मीआ़द न थी और अब मीआ़द मुक़र्रर हुई या पहले उस माह की मीआ़द थी और अब दो माह की मीआ़द मुक़र्रर की यह भी ना'जाइज़ है और अगर बाइअ् मरगया उसके वारिस ने उसी मुश्तरी से कम दाम में ख़रीदी तो जाइज़ है यूहीं बाइअ् ने उसे ख़रीदी जिसके हाथ मुश्तरी ने बैअ् करदी है या हिबा करदी है या मुश्तरी ने जिसके लिये उस चीज़ की वसिय्यत की उससे ख़रीदी या खुद मुश्तरी से उसी दाम में या ज़ायद में ख़रीदी या समन पर क़ब्ज़ा करने के बाद ख़रीदी यह सब सूरतें जाइज़ हैं और बाइअ् के बाप या बेटे या गुलाम या मुकातब ने कम दाम में ख़रीदी तो ना'जाइज़ है, कम दामों में ख़रीदना उस वक़्त ना'जइज़ है जबकि समन उसी जिन्स का हो और मबीअ् में कोई नुक़सान पैदा न हुआ हो और अगर समन दूसरी जिन्स का हो या मबीअ् में नुक़सान हुआ हो तो मुतलक़न बैअ् जाइज़ है, रूपया और अशर्फ़ी इस बारे में एक जिन्स क़रार पायेंगी लिहाज़ा अगर बीस रूपये में बेची थी और अब एक अशरफ़ी में ख़रीदी जिसकी क़ीमत उस वक़्त पन्द्रह रूपये है नाजाइज़ है और अगर कपड़े या सामान के बदले में ख़रीदी जिसकी क़ीमत पन्द्रह रूपये है जाइज़ है। (आ़लमगीरी, दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.53:– एक शख़्स ने दूसरे से मन भर गेहूँ क़र्ज़ लिये उसके बाद क़र्ज़दार ने क़र्ज़ख़्वाह से पाँच सौ रूपये में वह मन भर गेहूँ जो उसके हैं ख़रीद लिये यह बैअ् जाइज़ है और वह रूपये अगर उसी मज्लिस में अदा करदिये तो बैअ् नाफ़िज़ है वरना बातिल हो जायेगी। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.54:– एक शख़्स ने दूसरे से दस रूपये क़र्ज़ लिये और क़ब्ज़ा करने के बाद मदयून ने दायन से एक अशर्फ़ी में ख़रीद लिये यह बैअ् जाइज़ है फिर अगर अशर्फ़ी मज्लिस में देदी बैअ् सहीह रही वरना बातिल हो गई। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.55:– मुश्तरी ने दूसरे के हाथ चीज़ बेच डाली मगर यह बैअ् फ़स्ख होगई अगर यह फ़स्ख सबके हक़ में फ़स्ख क़रार पाये तो बाइअ् अव्वल को कम दामों में ख़रीदना जाइज़ नहीं और अगर इसी तरह का फ़स्ख हो कि महज़ उन दोनों के हक़ में फ़स्ख दूसरों के हक़ में बैअे जदीद हो जैसे इक़ाला तो कम में ख़रीदना जाइज़। (आलमगीरी)

मसअ्ला.56:– मुश्तरी ने मबीअ् को हिबा करदिया और क़ब्ज़ा भी देदिया अगर फिर वापस लेली और बाइअ् के हाथ कम दाम में बेच डाली यह ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.57:– एक चीज़ ख़रीदी अभी उसपर क़ब्ज़ा नहीं किया है यह और एक दूसरी चीज़ जो उसकी मिल्क में है दोनों को एक साथ मिलाकर बैअ् किया उसकी बैअ् दुरुस्त है जो उसके पास की है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.58:– एक चीज़ हज़ार रूपये में ख़रीदी और कब्ज़ा भी कर लिया मगर अभी समन अदा नही किया है कि यह और एक दूसरी चीज़ उसी बाइअ् के हाथ हज़ार रूपये में बेची हर एक पाँच सौ में दूसरी चीज़ की बैअ् सहीह है और उसकी सहीह नहीं जो उसी से ख़रीदी है और अगर समन अदा कर दिया है तो दोनों की बैअ् सहीह है और दूसरे के हाथ बैअ् की तो दोनों की दोनों सूरतों में सहीह है। (हिदाया, आलमगीरी)

मसअ्ला.59:– तेल बेचा और यह ठहरा कि बर्तन समेत तोला जायेगा और बर्तन का इतना वज़न काट दिया जायेगा मसलन एक सेर यह ना'जाअज़ है और अगर यह ठहरा कि बर्तन का जो वज़न है वह काट दिया जायेगा मसलन एक सेर है तो एक सेर डेढ़ सेर हो तो डेढ़ सेर यह जाइज़ है यूँही अगर दोनों को मा़लूम है कि बर्तन का वज़न एक सेर है और यह ठहरा कि बर्तन का वज़न एक सेर मुजरा किया जायेगा यह भी जाइज़ है। (हिदाया,दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.60:– तेल या घी ख़रीदा और बर्तन समेत तौला गया और ठहरा यह कि बर्तन का जो वज़न होगा मुजरा करदिया जायेगा मुश्तरी बर्तन ख़ाली करके लाया और कहता है इस का वज़न मसलन दो सेर है बाइअ् कहता है यह वह बर्तन नहीं, मेरा बर्तन एक सेर वज़न का था तो क़सम के साथ मुश्तरी का कौल मोअ्तबर होगा क्योंकि इस इख़्तिलाफ़ से अगर मक़सूद बरतन है तो मुश्तरी क़ाबिज़ है और क़ाबिज़ का क़ौल मोअ्तबर होता है और मक़सूद समन में इख़्तिलाफ़ है कि एक सेर की क़ीमत बाइअ् तलब करता है और मुश्तरी मुन्किर (इनकार करने वाला) है तो मुन्किर का क़ौल मोअ्तबर होता है। (हिदाया)

मसअ्ला.61:– रास्ता या़नी उसकी ज़मीन की बैअ् व हिबा जाइज़ है जबकि वह ज़मीन बाइअ् की मिल्क हो न यह कि फ़क़त हक़्क़े मरूर (हक़्क़े आसाइश) हो मस्लन उसके घर का रास्ता दूसरे के घर में से हो और रास्ते की ज़मीन उसकी हो। अगर उस ज़मीन रास्ते के तूल व अर्ज़ मज़कूर हैं जब तो ज़ाहिर है वरना उस मकान का जो बड़ा दरवाज़ा है उतनी चौड़ाई और कूचा–ए–नाफ़िज़ा तक लम्बाई ली जायेगी, और जो रास्ता कूचा–ए–नाफिज़ा या कूचा–ए–सर बस्ता में निकला है जो ख़ास बाइअ् की मिल्क में नहीं है बल्कि उसमें सबके लिये हक़्क़े आसाइश है मकान ख़रीदने में वह तबअ़न दाख़िल हो जाता है ख़ासकर उसे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.62:– ज़मीन या मकान की बैअ् हुई और रास्ते का हक़्क़े मरूर तबअ़न बैअ् किया गया मसलन जमीअ़ हुकुक़ या तमाम मुराफ़िक़ के साथ बैअ् की तो बैअ् दुरुस्त है और तन्हा रास्ते का हक़्क़े मरूर बेचा गया तो दुरुस्त नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.63:– मकान से पानी बहने का रास्ता या खेत में पानी आने का रास्ता बेचना दुरुस्त नहीं या़नी महज़ हक़ बेचना भी ना'जाइज़ है और ज़मीन जिसपर पानी गुज़रेगा वह भी बैअ् नहीं की जा सकती जबकि उसका तूल व अर्ज़ बयान न किया गया हो और अगर बयान कर दिया हो तो जाइज़ है। (हिदाया, फ़तहुलक़दीर)

मसअ्ला.64:– एक शख़्स ने दूसरे से कहा जो मेरा हिस्सा इस मकान में है उसे मैंने तेरे हाथ बैअ्

किया और बाइअ़ को मा़लूम नहीं कि कितना हिस्सा है मगर मुश्तरी को मा़लूम है तो बैअ़ जाइज़ है और अगर मुश्तरी को मा़लूम न हो तो जाइज़ नहीं अगरचे बाइअ़ को मा़लूम हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.65:– एक शख़्स के हाथ बैअ़ करके फिर उसको दूसरे के हाथ बेचना ह़राम व बातिल है कि पहली बैअ़ अगर फ़स्ख़ भी करदी जाये जब भी दूसरी नहीं हो सकती हाँ अगर मुश्तरी–ए–अव्वल ने क़ब्ज़ा कर लिया है तो दूसरी बैअ़ उसकी इजाज़त पर मौक़ूफ़ है। (रद्दुलमुह़तार)

मसअ्ला.66:– जिस बैअ़ में मबीअ़ या समन मजहूल है वह बैअ़ फ़ासिद है जबकि ऐसी जिहालत हो कि तस्लीम में नज़अ़ (झगड़ा) होसके और अगर तस्लीम में कोई दुश्वारी न हो तो फ़ासिद नहीं मसलन गेहूँ की पूरी बोरी पाँच सौ रूपये में ख़रीद ली और मा़लूम नहीं कि उसमें कितने गेहूं हैं या कपड़े की गांठ ख़रीदली और मा़लूम नहीं कि उस में कितने थान हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.67:– बैअ़ में कभी ऐसा होता है कि अदाये समन के लिये कोई मुद्दत मुक़र्रर होती है और कभी नहीं अगर मुद्दत मुक़र्रर न हो तो समन का मुता़लबा बाइअ़ जब चाहे करे और जब तक मुश्तरी समन न अदा करे मबीअ़ को रोक सकता है और दा़वा करके वुसूल कर सकता है और अगर मुद्दत मुक़र्रर है तो क़ब्ले मुद्दत मुता़लबा नहीं कर सकता मगर मुद्दत ऐसी मुक़र्रर हो जिसमें जिहालत न रहे कि झगड़ा हो अगर मुद्दत ऐसी मुक़र्रर की जो फ़रीक़ैन न जानते हों या एक को उसका इल्म न हो तो बैअ़ फ़ासिद है मसलन नौ रोज़ (ईरानी शमसी साल का पहला दिन) और महरगान या होली, (हिन्दुओं का एक त्योहार जो मौसमे बहार में मनाया जाता है) दीवाली कि अकसर मुसलमान यह नहीं जानते कि कब होगी और जानते हों तो बैअ़ हो जायेगी (मगर मुसलमानो को अपने कामों में कुफ़्फ़ार के त्योहारों की तारीख़ मुक़र्रर करना बहुत क़बीह (बुरी) है) हुज्जाज की आमद का दिन मुक़र्रर करना खेत कटने और पैर (अनाज साफ़ करने की जगह) में से ग़ल्ला उठने की तारीख़ मुक़र्रर करना बैअ़ को फ़ासिद कर देगा कि यह चीज़ें आगे पीछे हुआ करती हैं अगर अदाये समन के लिये यह औक़ात मुक़र्रर किये थे मगर उन औक़ात के आने से पहले मुश्तरी ने यह मीआ़द साक़ित (ख़त्म) करदी तो बैअ़ स़ह़ीह़ हो जायेगी जबकि दोनों में से किसी ने अब तक बैअ़ को फ़स्ख़ न किया हो। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.68:– बैअ़ में ऐसे नामा़लूम औक़ात मज़कूर नहीं हुए अक़्दे बैअ़ हो जाने के बा़द अदाये समन के लिये इस क़िस्म की मीआ़दें मुक़र्रर कीं यह मुज़िर नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.69:– आंधी चलने बारिश होने को अदाये समन का वक़्त मुक़र्रर किया तो बैअ़ फ़ासिद है और अगर इन चीज़ों को मीआ़द मुर्क़रर किया फिर उस मीआ़द को साक़ित कर दिया तो यह बैअ़ अब भी स़ह़ीह़ न होगी। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुह़तार)

बैअ़ फ़ासिद के अह़काम

मसअ्ला.70:– बैअ़े फ़ासिद का हुक्म यह है कि अगर मुश्तरी ने बाइअ़ की इजाज़त से मबीअ़ पर क़ब्ज़ा करलिया तो मबीअ़ का मालिक होगया और जब तक क़ब्ज़ा न किया हो मालिक नहीं, बाइअ़ की इजाज़त स़राह़तन हो या दलालतन, स़राह़तन इजाज़त हो तो मज्लिसे अ़क़्द में क़ब्ज़ा करे या बा़द में बहर ह़ाल मालिक होजायेगा और दलालतन यह कि मसलन मज्लिसे अ़क़्द में मुश्तरी ने बाइअ़ के सामने क़ब्ज़ा किया और उसने मना़ न किया और मज्लिसे अ़क़्द के बा़द स़राह़तन इजाज़त की ज़रूरत है दलालतन काफ़ी नहीं मगर जबकि बाइअ़ समन पर क़ब्ज़ा करके मालिक होगया तो अब मज्लिसे अ़क़्द के बा़द उसके सामने क़ब्ज़ा करना और उसको मना़ न करना इजाज़त है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुह़तार)

मसअ्ला.71:– यह जो कहा गया कि क़ब्ज़ा से मालिक हो जाता है उससे मुराद मिल्के ख़बीस है क्योंकि जो चीज़ बैअ़ फ़ासिद से ह़ासिल होगी उसे वापस करना वाजिब है और मुश्तरी को उस में तसर्रुफ़ करना मना़ है बैअ़े फ़ासिद में क़ब्ज़ा से चूँकि मिल्क ह़ासिल होती है अगरचे मिल्के ख़बीस है लिहाज़ा मिल्क के कुछ अह़काम स़ाबित होंगे मस्लन (1)उसपर दा़वा हो सकता है (2)उसको बैअ़ करेगा तो समन उसे मिलेगा, (3)आज़ाद करेगा तो आज़ाद हो जायेगा (4)और विला का ह़क़ भी

उसी को मिलेगा (5)और बाइअ् आज़ाद करेगा तो आज़ाद न होगा (6)और अगर उसके पड़ोस में कोई मकान फ़रोख़्त होगा तो शुफ़आ मुश्तरी का होगा बाइअ् का नहीं होगा और चूँकि यह मिल्क ख़बीस है लिहाज़ा उसके बाज़ अहकाम साबित नहीं होंगे (1)अगर खाने की चीज़ है तो उसका खाना (2)पहनने की चीज़ है तो पहनना हलाल नहीं (3)कनीज़ है तो वती करना हलाल नहीं (4)और बाइअ् का उससे निकाह ना'जाइज़, (5)और अगर मकान है तो उसके पड़ोस वाले को या ख़लीत (वह शख़्स जो हक़्क़े बैअफ में शरीक हो) को शुफ़आ का हक़ नहीं हाँ अगर मुश्तरी ने उसमें कोई तामीर की तो अब उसका पड़ोसी शुफ़आ कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.72:– बैअे फ़ासिद में मुश्तरी पर अव्वलन यही लाज़िम है कि क़ब्ज़ा न करे और बाइअ् पर भी लाज़िम है कि मना करदे बल्कि हर एक पर बैअ् फ़स्ख़ कर देना वाजिब और क़ब्ज़ा कर ही लिया तो वाजिब है कि बैअ् को फ़स्ख़ करके मबीअ् को वापस करले या करदे, फ़स्ख़ न करना गुनाह है और अगर वापसी न होसके मसलन मबीअ् हलाक होगई या ऐसी सूरत पैदा होगई कि वापसी नहीं हो सकती (जिसका बयान आता है) तो मुश्तरी मबीअ् की मिस्ल वापस करे अगर मिस्ली हो और क़ीमती हो तो क़ीमत अदा करे (यानी उस चीज़ की वाजिबी क़ीमत न कि समन जो ठहरा है) और क़ीमत में क़ब्ज़ा के दिन का एअ्तिबार है यानी बरोज़ कब्ज़ा जो उसकी क़ीमत थी वह दे हाँ अगर गुलाम को बैअे फ़ासिद से ख़रीदा है और आज़ाद कर दिया तो समन वाजिब है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.73:– अगर क़ीमत में बाइअ् व मुश्तरी का इख़्तिलाफ़ है तो मुश्तरी का क़ौल मोअ्तबर है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.74:– इकराह व जब्र (ज़बरदस्ती) के साथ बैअ् हुई तो यह बैअ् फ़ासिद है मगर जिसपर जब्र किया गया उसको फ़स्ख़ करना वाजिब नहीं बल्कि इख़्तेयार है कि फ़स्ख़ करे या नाफ़िज़ कर दे मगर जिसने जब्र किया है उस पर फ़स्ख़ करना वाजिब है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.75:– बैअे फ़ासिद में अगर मुश्तरी ने मबीअ् पर बिग़ैर इजाज़ते बाइअ् क़ब्ज़ा किया तो न क़ब्ज़ा हुआ न मालिक हुआ न उसके तसर्रुफ़ात जारी होंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.76:– बैअे फ़ासिद को फ़स्ख़ करने के लिये क़ज़ाए क़ाज़ी की भी ज़रूरत नहीं कि उसका फ़स्ख़ करना खुद उन दोनों पर शरअ़न वाजिब है और उसकी भी ज़रूरत नहीं कि दूसरा राज़ी हो और उसकी भी ज़रूरत नहीं कि दूसरे के सामने हो हाँ यह ज़रूर है कि दूसरे को फ़स्ख़ का इल्म होजाये और वह दोनों खुद फ़स्ख़ न करें बैअ् पर क़ायम रहना चाहें और क़ाज़ी को उसका इल्म हो जाये तो क़ाज़ी जबरन फ़स्ख़ करदे। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.77:– मुश्तरी ने मबीअ् को वापस देदिया यानी बाइअ् के पास रख दिया कि बाइअ् लेना चाहे तो ले सकता है बाइअ् ने उसे लेने से इन्कार कर दिया मगर मुश्तरी उसके पास छोड़कर चला गया बरीउज्ज़िम्मा हो गया और वह चीज़ अगर ज़ाइअे होगई तो मुश्तरी तावान नहीं देगा और अगर बाइअ् के इन्कार पर मुश्तरी चीज़ को वापस लेगया तो बरीउज्ज़िम्मा नहीं कि इस सूरत में उसका लेजाना ही जाइज़ नहीं कि बैअ् फ़स्ख़ हो चुकी और फिर ले जाना ग़सब है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.78:– बैअे फ़ासिद में मबीअ् को अगर मुश्तरी ने बाइअ् के लिये हिबा कर दिया या सदक़ा कर दिया या बाइअ् के हाथ बेच डाला या आरियत, इजारह, ग़सब वदीअत के ज़रिये ग़र्ज़ किसी तरह वह चीज़ बाइअ् के हाथ पहुँचगई बैअ् का मुतारका होगया और मुश्तरी बरिउज्ज़िम्मा होगया कि समन या क़ीमत उसके ज़िम्मे लाज़िम नहीं, यहाँ एक क़ायदा कुल्लिया (सामान्य नियम) याद रखने का है कि जब एक चीज़ का कोई शख़्स किसी वजह से मुस्तहिक़ है और वह चीज़ उसको दूसरे तरीक़े पर हासिल हो तो उसी वजह से मिलना क़रार पायेगा जिस वजह से मिलने का हक़दार था और जिस वजह से हासिल हुई उसका एअ्तिबार नहीं बशर्ते कि उसी शख़्स से मिले जिस पर उसका हक़ था मसलन यूँ समझो कि किसी ने उसकी चीज़ ग़सब करली है फिर ग़ासिब से उसने वह चीज़ ख़रीदी तो यह बैअ् नहीं मानी जायेगी बल्कि उसकी चीज़ थी जो उसे मिलगई और अगर वह

चीज़ उसे नहीं मिली जिसपर उसका हक़ था दूसरे से मिली तो जिस वजह से हासिल हुई उसका एअ्तिबार होगा मसलन बैअ़े फ़ासिद में मुश्तरी ने वह चीज़ बैअ़ करदी या किसी को हिबा करदी उससे बाइअ़ अव्वल को हासिल हुई तो मुश्तरी बरिउज्ज़िम्मा नहीं उसे ज़मान देना पड़ेगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

फ़स्ख़ को रोकने वाली

मसअ्ला.79:– बैअ़े फ़ासिद में मुश्तरी ने क़ब्ज़ा करने के बाद उस चीज़ को बाइअ़ के अलावा दूसरे के हाथ बेच डाला और यह बैअ़ सहीह बात (क़तई) हो या हिबा करके क़ब्ज़ा दिलाया या आज़ाद कर दिया या मुकातब किया या कनीज़ थी मुश्तरी के उससे बच्चा पैदा हुआ या ग़ल्ला था उसे पिसवाया या उसको दूसरे ग़ल्ले में ख़लत (मिलाना) कर दिया या जानवर था ज़बह कर डाला या मबीअ़ को वक़्फ़े सहीह कर दिया या रेहन रख दिया और क़ब्ज़ा देदिया या वसिय्यत करके मरगया या सदक़ा दे डाला ग़र्ज़ यह कि किसी तरह मुश्तरी की मिल्क से निकल गई तो अब वह बैअ़ फ़ासिद नाफ़िज़ हो जायेगी और अब फ़स्ख़ नहीं हो सकती और अगर मुश्तरी ने बैअ़े फ़ासिद के साथ बेचा या बैअ़ में ख़्यारे शर्त था तो फ़स्ख़ का हुक्म बाक़ी है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.80:– इकराह के साथ अगर बैअ़ हुई और मुश्तरी ने क़ब्ज़ा करके मबीअ़ में तसर्रुफ़ात किये तो सारे तसर्रुफ़ात बेकार क़रार दिये जायेंगे और बाइअ़ को अब भी यह हक़ हासिल है कि बैअ़ को फ़स्ख़ करदे मगर मुश्तरी ने आज़ाद कर दिया तो इत्क़ नाफ़िज़ होगा और मुश्तरी को गुलाम की क़ीमत देनी पड़ेगी। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.81:– मुश्तरी ने क़ब्ज़ा नहीं किया है और बाइअ़ को उसने हुक्म देदिया कि उसको आज़ाद करदे या हुक्म दिया कि ग़ल्ला को पिसवादे या दूसरे ग़ल्ला में उसे मिलादे या जानवर को ज़िबह करदे बाइअ़ ने उसके हुक्म से यह काम किये तो मुश्तरी पर ज़मान वाजिब होगया और बाइअ़ का यह अफ़आल करना ही मुश्तरी का क़ब्ज़ा माना जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.82:– मबीअ़ को मुश्तरी ने किराये पर देदिया या लोन्डी थी उसका निकाह कर दिया तो अब भी बैअ़ को फ़स्ख़ कर सकते हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.83:– जिस वजह से फ़स्ख़ मुमतनेअ़ (यानी बैअ़ ख़त्म न कर सकता हो) हो गया अगर वह जाती रही मसलन हिबा कर दिया था उसे वापस लेलिया, रेहन को छुड़ा लिंया, मुकातब बदले किताबत अदा करने से आजिज़ हो गया, तो फ़स्ख़ का हुक्म फिर लौट आया हाँ अगर क़ाज़ी ने इन तसर्रुफ़ात के बाद क़ीमत अदा करने का मुश्तरी पर हुक्म देदिया तो अब बादे रूजूअ़ व ज़वाले उज़्र (उज़्र के ख़त्म होने के बाद) भी फ़स्ख़ न होगी। (फ़तहुल क़दीर)

मसअ्ला.84:– बाइअ़ व मुश्तरी में से कोई मरगया जब भी फ़स्ख़ का हुक्म बदस्तूर बाक़ी है उसका वारिस उसके क़ायम मक़ाम है वह फ़स्ख़ करे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.85:– बैअ़े फ़ासिद को फ़स्ख़ कर दिया तो बाइअ़ मबीअ़ को वापस नहीं ले सकता जब तक समन या क़ीमत वापस न करे फिर अगर बाइअ़ के पास वही रूपये मौजूद हैं तो बैअ़ नहीं उन्हीं को वापस करना ज़रूरी है और ख़र्च होगये तो इतने रूपये ही वापस करे। (हिदाया)

मसअ्ला.86:– बैअ़ फ़स्ख़ हो चुकी है और बाइअ़ ने अभी समन वापस नहीं किया है और मरगया तो मुश्तरी उस मबीअ़ का हक़दार है यानी अगर बाइअ़ पर लोगों के दुयून थे तो यह नहीं हो सकता कि उस मबीअ़ से दूसरे क़र्ज़ख़्वाह अपने मुतालबात वुसूल करें बल्कि उसका हक़ तजहीज़ व तकफ़ीन पर भी मुक़द्दम है मसलन फ़र्ज़ करो मबीअ़ कपड़ा है लोग यह चाहते हैं कि उसी का कफ़न देदिया जाये यह कह सकता है जब तक समन वापस नहीं मिलेगा मैं नहीं दूँगा यूँही अगर बाइअ़ के मरने के बाद उसके वारिस या मुश्तरी ने बैअ़ को फ़स्ख़ किया तो मुश्तरी मबीअ़ को अपना हक़ वुसूल करने के लिये रोक सकता है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.87:– ज़मीन बतौरे बैअ़ फ़ासिद ख़रीदी थी उसमें दरख़्त नसब कर दिये या मकान ख़रीदा

था उसमें तामीर की तो मुश्तरी पर क़ीमत देनी वाजिब है और अब बैअ़ फ़स्ख़ नहीं हो सकती, यूँही ज़मीन में ज़्यादते मुत्तसिला ग़ैर मुतवल्लिद मानेअ़ फ़स्ख़ है (यानी मबीअ़ में इज़ाफ़ा मबीअ़ के साथ मिला हुआ हो और उसकी वजह से न हो) मसलन कपड़े को रंग दिया, सी दिया, सत्तू में घी मिला दिया, गेहूँ का आटा पिसवा लिया, रूई का सूत कात लिया, और ज़्यादते मुत्तसिला मुतवल्लिद जैसे मोटापा या ज़्यादते मुनफ़सिला मुतवल्लिदा मसलन जानवर के बच्चा पैदा हुआ यह मानेअ़ फ़स्ख़ नहीं मबीअ़ और ज़्यादत दोनों को वापस करे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.88:– ज़्यादते मुनफ़सिला मुतवल्लिदा अगर मुश्तरी के पास हलाक होगई तो उसका तावान नहीं और उसने ख़ुद हलाक करदी तो उसका तावान देगा और अगर ज़्यादत बाक़ी है और मबीअ़ हलाक होगई तो ज़्यादत को वापस करे और मबीअ़ की क़ीमत वह दे जो क़ब्ज़ा के दिन थी और अगर ज़्यादते मुनफ़सिला ग़ैर मुतवल्लिदा है जैसे ग़ुलाम था उसने कुछ कमाया उसका भी हुक्म यही है कि मबीअ़ और ज़्यादत दोनों को वापस करे मगर इस ज़्यादत को बाइअ़ सदक़ा करदे उसके लिये यह तय्यिब नहीं और यह ज़्यादत हलाक होगई या मुश्तरी ने ख़ुद हलाक करदी दोनों सूरतों में मुश्तरी पर उसका तावान नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.89:– मबीअ़ में अगर नुक़सान पैदा होगया और यह नुक़सान मुश्तरी के फ़ेअ्ल से हुआ या ख़ुद मबीअ़ के फ़ेअ्ल से हुआ या आफ़ते समावी (प्राकृतिक आपदा) से हुआ बाइअ़ मुश्तरी से मबीअ़ को वापस लेगा और उस नुक़सान का मुआवज़ा भी लेगा मसलन कपड़े को मुश्तरी ने क़तअ़ करा लिया है मगर अभी सिलवाया नहीं तो बाइअ़ मुश्तरी से वह कपड़ा लेगा और क़तअ़ हो जाने से जो क़ीमत में कमी होगई वह लेगा और अगर वह नुक़सान दफ़ा होगया तो जो कुछ उसका मुआवज़ा लेचुका है बाइअ़ वापस करे मसलन कनीज़ थी उसकी आँख ख़राब होगई जिसका नुक़सान लिया फिर अच्छी होगई तो वापस करदे या लोन्डी का निकाह करदिया था फिर बैअ़ फ़स्ख़ होगई और निकाह करने से जो नुक़सान हुआ बाइअ़ ने मुश्तरी से वुसूल किया फिर उसके शौहर ने क़ब्ले दुख़ूल तलाक़ देदी तो यह मुआवज़ा वापस करदे, और अगर मबीअ़ में नुक़सान किसी अजनबी शख़्स के फ़ेअ्ल से हुआ तो बाइअ़ को इख़्तेयार है कि उसका मुआवज़ा उस अजनबी से ले या मुश्तरी से अगर मुश्तरी से लेगा तो मुश्तरी वह रक़म उस अजनबी से वुसूल करेगा, मबीअ़ में नुक़सान ख़ुद बाइअ़ ने किया तो यह नुक़सान पहुँचाना ही वापस करना है यानी फ़र्ज़ करो अगर वह मबीअ़ मुश्तरी के पास हलाक होगई और मुश्तरी ने उसको बाइअ़ से रोका न हो तो बाइअ़ की हलाक हुई मुश्तरी उसका तावान नहीं देगा और समन दे चुका है तो वापस लेगा अगर मुश्तरी की तरफ़ से मबीअ़ की वापसी में रुकावट हुई उसके बाद हलाक हुई तो दो सूरतें हैं यह हलाक होना उसी नुक़सान पहुँचाने से हुआ यानी यहाँ तक उसका असर हुआ कि हलाक होगई जब भी बाइअ़ की हलाक हुई मुश्तरी पर तावान नहीं और अगर उसके असर से न हो तो मुश्तरी को तावान देना होगा मगर वह नुक़सान जो बाइअ़ ने किया है उसका मुआवज़ा उसमें से कम कर दिया जाये।(आलमगीरी)

बैअ़ फ़ासिद में मबीअ़ या समन से नफ़ा हासिल करना

मसअ्ला.90:– कोई चीज़ मुअय्यन मसलन कपड़ा या कनीज़ सौ रुपये में बैअ़े फ़ासिद के तौर पर ख़रीदी और तक़ाबुज़े बदलैन (दोनों तरफ़ क़ब्ज़ा होना) भी हो गया मुश्तरी ने मबीअ़ से नफ़ा उठाया मसलन उसे सवा सौ में बेच दिया और बाइअ़ ने समन से नफ़ा उठाया कि उससे कोई चीज़ ख़रीदकर सवा सौ में बेची तो मुश्तरी के लिये वह नफ़ा ख़बीस है सदक़ा करदे और बाइअ़ ने समन से जो नफ़ा हासिल किया है उसके लिये हलाल है और अगर बैअ़े फ़ासिद में दोनों जानिब ग़ैर नुक़ूद हों (जिसे बैअ़े मुक़ायज़ा (सामान को सामान के बदले में बेचना) कहते हैं) मस्लन ग़ुलाम को घोड़े के बदले में बेचा और दोनों ने क़ब्ज़ा करके नफ़ा उठाया तो दोनों के लिये नफ़अ़ ख़बीस है दोनों नफ़ा को सदक़ा करदें।(हिदाया, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.91:– एक शख़्स ने दूसरे पर माल का दावा किया मुद्दाअलैह ने देदिया उस माल से मुद्दई ने

कुछ नफ़ा हासिल किया फिर दोनों ने उस पर इत्तिफ़ाक़ किया कि वह माल नहीं चाहिये था तो जो कुछ नफ़ा उठाया है मुद्दई के लिये हलाल है। (हिदाया) मगर यह उस वक़्त है कि मुद्दई के ख़्याल में यही था कि यह माल मेरा है और अगर क़स्दन ग़लत तौर पर मुतालबा किया और लिया तो यह लेना हराम है और उसका नफ़ा भी ना'जाइज़ व ख़बीस, ग़ासिब ने मग़सूब से जो कुछ नफ़ा उठाया है हराम है। (फतह,दुर्रेमुख्तार)

हराम माल को क्या करे

मसअला.92:– मूरिस ने हराम तरीक़े पर माल हासिल किया था अब वारिस को मिला अगर वारिस को मालूम है कि यह माल फुलाँ का है तो दे देना वाजिब है और यह मालूम न हुआ कि किसका है तो मालिक की तरफ़ से सदक़ा करदे और अगर मूरिस का माले हराम और माले हलाल ख़लत हो गया है यह नहीं मालूम कि कौन हराम है कौन हलाल मसलन उसने रिश्वत ली है या सूद लिया है और यह माले हराम मुमताज़ नहीं है तो फ़तवा का हुक्म यह होगा कि वारिस के लिये हलाल है और दयानत उसको चाहती है कि उससे बचना चाहिये। (रद्दुलमुहतार)

मसअला.93:– मुश्तरी पर यह लाज़िम नहीं कि बाइअ् से यह दरयाफ़्त करे कि यह माले हलाल है या हराम हाँ अगर बाइअ् ऐसा शख़्स है कि हलाल व हराम यानी चोरी ग़सब वग़ैरह सब ही तरह की चीज़ें बेचता है तो एहतेयात यह है कि दरयाफ़्त करले हलाल हो तो ख़रीदे वरना ख़रीदना जाइज़ नहीं। (ख़ानिया, आलमगीरी)

मसअला.94:– मकान ख़रीदा जिसकी कड़ियों में रूपये मिले तो बाइअ् को वापस करदे और बाइअ् लेने से इन्कार करे तो सदक़ा करदे। (ख़ानिया)

बैअ् मकरूह का बयान

हदीस् (1) बुख़ारी व मुस्लिम अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "ग़ल्ला लाने वाले क़ाफ़िला का बैअ् के लिये बाज़ार में पहुँचने से पहले इस्तिक़बाल न करो और एक शख़्स दूसरे की बैअ् पर बैअ् न करे और नजश (मबीअ् की क़ीमत बढ़ाये और खुद ख़रीदने का इरादा न रखता हो) न करो और शहरी आदमी देहाती के लिये बैअ् न करे"।

हदीस् (2) सहीह मुस्लिम में उन्हीं से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "ग़ल्ला वाले क़ाफ़िले का इस्तिक़बाल न करो और अगर किसी ने इस्तिक़बाल करके उससे ख़रीद लिया फिर वह मालिक (बाइअ्) बाज़ार में आया तो उसे इख़्तेयार है यानी अगर ख़रीदने वाले ने बाज़ार का ग़लत नर्ख़ बताकर उससे ख़रीद लिया है तो मालिक बैअ् को फ़स्ख़ कर सकता है"।

हदीस् (3) सहीह मुस्लिम में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "कोई शख़्स अपने भाई की बैअ् पर बैअ् न करे और उसके पैग़ाम पर पैग़ाम न दे मगर इस सूरत में कि उसने इजाज़त देदी हो"।

हदीस् (4) सहीह मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर ने फ़रमाया "कोई शख़्स अपने मुसलमान भाई के नर्ख़ पर नर्ख़ न करे यानी एक ने दाम चुका लिया हो तो दूसरा उसका दाम न लगाये"।

हदीस (5) सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "शहरी आदमी देहाती के लिये बैअ् न करे लोगों को छोड़ो एक से दूसरे को अल्लाह तआला रोज़ी पहुँचाता है"।

हदीस् (6) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व इब्ने माजा अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने (एक शख़्स का) टाट और प्याला बैअ् किया इरशाद फ़रमाया कि उन दोनों को कौन ख़रीदता है एक साहब बोले मैं एक दिरहम में ख़रीदता हूँ इरशाद फ़रमाया एक दिरहम से ज़्यादा कौन देता है दूसरे साहब बोले मैं दो दिरहम में लेना चाहता हूँ उनके हाथ दोनों को बैअ् कर दिया।

हदीस् (7) सहीह मुस्लिम शरीफ़ में मअ़्मर से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "एहतिकार (जमा ख़ोरी) करने वाला ख़ाती है।

हदीस् (8) इब्ने माजा व दारमी अमीरुलमोमेनीन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "बाहर से ग़ल्ला लाने वाले मरज़ूक़ है और एहतिकार करने वाला (ग़ल्ला रोकने वाला) मलऊन है"।

हदीस् (9) रज़ीन ने इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "जिसने चालीस दिन ग़ल्ला रोका गिरां (महंगा) करने का उसका इरादा है वह अल्लाह से बरी है अल्लाह उससे बरी"।

हदीस् (10) बैहक़ी व रज़ीन हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "जिसने मुसलमान पर ग़ल्ला रोक दिया अल्लाह तआला उसे जुज़ाम (कोढ़) व अफ़लास में मुब्तला फ़रमायेगा"।

हदीस् (11) बैहक़ी व तिबरानी व रज़ीन मआज़ रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम को फ़रमाते सुना "ग़ल्ला रोकने वाला बुरा बन्दा है कि अगर अल्लाह तआला नर्ख़ सस्ता करता है वह ग़मगीन होता है और अगर गिरां करता है तो खुश होता है"।

हदीस् (12) रज़ीन अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "जिसने चालीस रोज़ ग़ल्ला रोका फिर वह सब ख़ैरात कर दिया तो भी कफ़्फ़ारा अदा न हुआ"।

हदीस् (13) तिर्मिज़ी व अबू दाऊद व इब्ने माजा व दारमी अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के ज़माने में ग़ल्ला गिरां होगया लोगों ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह नर्ख़ मुक़र्रर फ़रमा दीजिये इरशाद फ़रमाया कि "नर्ख़ मुक़र्रर करने वाला, तंगी करने वाला, कुशादगी करने वाला अल्लाह है और मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदा से इस हाल में मिलूँ कि कोई मुझ से किसी हक़ का मुतालबा न करे न ख़ून के मुतअ़ल्लिक़ न माल के मुतअ़ल्लिक़"।

हदीस् (14) हाकिम व बैहक़ी बुरीदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं मैं हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास बैठा था कि उन्होंने रोने वाली की आवाज़ सुनी अपने गुलाम यरफ़ा से फ़रमाया देखो यह कैसी आवाज़ है वह देखकर आये और यह कहा कि एक लड़की है जिसकी माँ बेची जा रही है फ़रमाया मुहाजिरीन और अन्सार को बुलाओ एक घड़ी गुज़री थी कि तमाम मकान व हुजरा लोगों से भर गया फिर हज़रत उमर ने हम्द व सना के बाद फ़रमाया क्या तुमको मालूम है कि जिस चीज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम लाये हैं उसमें क़तअ़् रहम भी है सबने अर्ज़ की कि नहीं फ़रमाया उससे बढ़कर क्या क़तअ़् रहम होगा कि किसी की माँ बैअ़् की जाये।

हदीस् (15) बैहक़ी ने रिवायत की हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने आमिलों के पास लिखकर भेजा कि "दो भाईयों को बेचा जाये तो तफ़रीक़ न की जाये"।

मसाइले फ़िक़्हिय्या:– बैअ़् मकरूह भी शरअ़न ममनूअ़् है और उसका करने वाला गुनहगार है मगर चूँकि वजह मुमानअ़त न नफ़से अ़क़्द में है न शराइते सेहत में इसलिये उसका मरतबा फुक़हा ने बैअ़े फ़ासिद से कम रखा है उस बैअ़् के फ़स्ख़ करने का भी बाज़ फुक़हा हुक्म देते हैं फ़र्क़ इतना है कि (1)बैअ़े फ़ासिद को अगर आक़ेदैन फ़स्ख़ न करें तो क़ाज़ी जबरन फ़स्ख़ कर देगा और बैअ़् मकरूह को क़ाज़ी फ़स्ख़ न करेगा बल्कि आक़ेदैन के ज़िम्मे दयानतन फ़स्ख़ करना है, (2)बैअ़े फ़ासिद में क़ीमत वाजिब होती है उसमें समन वाजिब होता है, बैअ़े (3)फ़ासिद में बिग़ैर क़ब्ज़ा मिल्क

नहीं होती इसमें मुश्तरी क़ब्ले क़ब्ज़ा मालिक हो जाता है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.1:– अज़ाने जुमा के शुरू करने ख़त्मे नमाज़ तक बैअ् मकरूहे तहरीमी है और अज़ान से मुराद पहली आज़ान है कि उसी वक़्त सई वाजिब होती है मगर वह लोग जिन पर जुमा वाजिब नहीं मसलन औरतें या मरीज़ उन की बैअ् में कराहत नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– नजश मकरूह है हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने उस से मना फ़रमाया नजश यह है कि मबीअ् की क़ीमत बढ़ाये और ख़ुद ख़रीदने का इरादा न रखता हो उस से मक़सूद यह होता है कि दूसरे ग्राहक को रग़बत पैदा हो और क़ीमत से ज्यादा देकर ख़रीदले और यह हक़ीक़तन ख़रीदार को धोखा देना है जैसा कि बाज़ दुकानदारों के यहाँ इस क़िस्म के आदमी लगे रहते हैं ग्राहक को देखकर चीज़ के ख़रीदार बनकर दाम बढ़ा दिया करते हैं और उनकी इस हरकत से ग्राहक धोखा खा जाते हैं, ग्राहक के सामने मबीअ् की तारीफ़ करना और उसके औसाफ़ (ख़ूबियां) बयान करना जो न हों ताकि ख़रीदार धोखा खा जाये यह भी नजश है जिस तरह ऐसा करना बैअ् में ममनूअ् है निकाह, इजारा, वग़ैरा में भी ममनूअ् है, उसकी मुमानअ़त उस वक़्त है जब ख़रीदार वाजिबी क़ीमत देने के लिये तैयार है और यह धोखा देकर ज़्यादा करना चाहे, और अगर ख़रीदार वाजिबी क़ीमत से कम देकर लेना चाहता है और एक शख़्स ग़ैर ख़रीदार इसलिये दाम बढ़ा रहा है कि असली क़ीमत तक ख़रीदार पहुँच जाये यह ममनूअ् नहीं कि एक मुसलमान को नफ़ा पहुँचता है बिग़ैर उसके कि दूसरे को नुक़सान पहुँचाये। (हिदाया, फ़तहुलक़दीर,)

मसअ्ला.3:– एक शख़्स के दाम चुका लेने के बाद दूसरे को दाम चुकाना ममनूअ् है उसकी सूरत यह है कि बाइअ् व मुश्तरी एक समन पर राज़ी होगये सिर्फ़ ईजाब व क़बूल है या मबीअ् को उठाकर दाम देना ही बाक़ी रह गया है दूसरा शख़्स दाम बढ़ाकर लेना चाहता है या दाम उतना ही देगा मगर दुकानदार से उसका मेल है या यह ज़ी वजाहत शख़्स है दुकानदार उसे छोड़कर पहले शख़्स को नहीं देगा, और अगर अब तक दाम तय नहीं हुआ एक समन पर दोनों की रज़ा'मन्दी नहीं हुई तो दूसरे को दाम चुकाना मना नहीं जैसा कि नीलाम में होता है 'बैअ् मंयज़ीद' कहते हैं यानी बेचने वाला कहता है जो ज़्यादा दे लेले इस क़िस्म की बैअ् हदीस से साबित है। जिस तरह बैअ् में उसकी मुमानअ़त है इजारा में भी ममनूअ् है मसलन किसी मज़दूर से मज़दूरी तय होने के बाद या मुलाज़िम से तनख़्वाह तय होने के बाद दूसरे शख़्स का मज़दूरी या तनख़्वाह बढ़ाकर या उतनी ही देकर मुक़र्रर करना, यूँही निकाह में एक शख़्स की मंगनी होजाने के बाद दूसरे को पैग़ाम देना मना है ख़्वाह महर बढ़ाकर निकाह करना चाहता हो या उसकी इज़्ज़त व वजाहत के सामने पहले को जवाब देदिया जायेगा बहर सूरत पैग़ाम देना ममनूअ् है जिस तरह ख़रीदार के लिये यह सूरत ममनूअ् है बाइअ् के लिये भी मुमानअ़त है मसलन एक दुकानदार से दाम तय होगये दूसरा कहता है मैं इससे कम में दूंगा या वह उसका मुलाक़ाती है कहता है मेरे यहाँ से लो मैं भी इतने में ही दूंगा या इजारा में एक मज़दूर से उजरत तय होने के बाद दूसरा कहता है मैं कम मज़दूरी लूंगा या मैं भी इतनी ही लूंगा यह सब ममनूअ् हैं। (हिदाया, फ़तह, दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.4:– हूज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने 'तलक़्क़ी जलब' से मुमानअ़त फ़रमाई यानी बाहर से ताजिर जो ग़ल्ला ला रहे हैं उनके शहर में बेचने से क़ब्ल बाहर जाकर ख़रीद लेना उसकी दो सूरतें हैं एक यह कि अहले शहर को ग़ल्ला की ज़रूरत है और यह इसलिये ऐसा करता है कि ग़ल्ला हमारे क़ब्ज़ा में होगा नर्ख़ ज़्यादा करके बेचेंगे दूसरी सूरत यह है कि ग़ल्ला लाने वाले ताजिर को शहर का नर्ख़ ग़लत बताकर ख़रीदे मसलन शहर में पन्द्रह सेर के गेहूँ बिकते हैं उसने कह दिया अठारह सेर के हैं धोखा देकर ख़रीदना चाहता है और अगर यह दोनों बातें न हों तो मुमानअ़त नहीं। (हिदाया, फ़तह)

मसअ्ला.5:– हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने उससे मना फ़रमाया कि शहरी

आदमी देहाती के लिये बैअ् करे यानी देहाती कोई चीज़ ख़रीद व फ़रोख़्त करने के लिये बाज़ार में आता है मगर वह नावाकिफ़ है सस्ती बेच डालेगा शहरी कहता है तू मत बेच मैं अच्छे दामों में बेचूँगा यह दलाल बनकर बेचता है और ह़दीस का मत़लब बाज़ फ़ुक़हा ने यह बयान किया है कि अहले शहर क़हत में मुब्तला हों उनको खुद ग़ल्ला की ह़ाजत हो ऐसी सूरत में शहर का ग़ल्ला बाहर वालों के हाथ गिरां करके बैअ् करना ममनूअ् है कि उससे अहले शहर को ज़रर पहुँचेगा और अगर यहाँ वालों को एहतेयाज (ज़रूरत) न हो तो बेचने में मुज़ायक़ा नहीं हिदाया में इसी तफ़सीर को ज़िक्र फ़रमाया है।

मसअ्ला.6:– एह़तिकार यानी ग़ल्ला रोकना मना है और सख़्त गुनाह है और उसकी सूरत यह है कि गिरानी के ज़माने में ग़ल्ला ख़रीद ले और उसे बैअ् न करे बल्कि रोक रखे कि लोग जब ख़ूब परेशान होंगें तो ख़ूब गिरां करके बैअ् करूँगा और अगर यह सूरत न हो बल्कि फ़सल में ग़ल्ला ख़रीदता है और रख छोड़ता है कुछ दिनों के बाद जब गिरां हो जाता है बेचता है यह न एह़तिकार है न उसकी मुमानअ़त।

मसअ्ला.7:– ग़ल्ला के अ़लावा दूसरी चीज़ों पर एह़तिकार नहीं।

मसअ्ला.8:– इमाम यानी बादशाह को ग़ल्ला वग़ैरह का नर्ख़ मुक़र्रर कर देना कि जो नर्ख़ मुक़र्रर कर दिया है उससे कम व बेश करके बैअ् न हो यह दुरुस्त नहीं।

मसअ्ला.9:– दो मम्लूक जो आपस में ज़ी रहम मह़रम हों मसलन दोनों भाई या चचा भतीजे या बाप बेटे या माँ बेटे हों ख़्वाह दोनों नाबालिग़ हों या उनमें का एक नाबालिग़ हो उनमें तफ़रीक़ करना मना है मसलन एक को बैअ् करदे दूसरे को अपने पास रखे या एक को एक शख़्स के हाथ बेचे दूसरे को दूसरे के हाथ या हिबा में तफ़रीक़ हो कि एक को हिबा करदे दूसरे को बाक़ी रखे या दोनों को दो शख़्सों के लिये हिबा करदे या वसिय्यत में तफ़रीक़ हो बहर ह़ाल उनकी तफ़रीक़ ममनूअ् है। (दुर्रेमुख़्तार, हिदाया)

मसअ्ला.10:– अगर दोनों बालिग़ हों या रिश्तेदार ग़ैर मह़रम हों मसलन दोनों चचा ज़ाद भाई हों या मह़रम हों मगर रज़ाअ़त की वजह से ह़ुरमत हो या दोनों ज़न व शौहर हों तो तफ़रीक़ ममनूअ् नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, वग़ैरा)

मसअ्ला.11:– ऐसे दो ग़ुलामों को जिनमें तफ़रीक़ मना है अगर एक को आज़ाद कर दिया दूसरे को नहीं तो मुमानअ़त नहीं अगरचे आज़ाद करना माल के बदले में हो बल्कि ऐसे के साथ बैअ् करना भी मना नहीं जिसने उसकी आज़ादी का ह़लफ़ किया हो यानी यह कहा हो कि अगर मैं इसका मालिक हो जाऊँ तो आज़ाद है यूँही एक को मुदब्बर, मुकातब, उम्मे वलद बनाने में तफ़रीक़ भी ममनूअ् नहीं यूँही अगर एक ग़ुलाम उसका है दूसरा उसके बेटे या मुकातब या मुज़ारिब का जब भी तफ़रीक़ ममनूअ् नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– ऐसे दो मम्लूकों में से एक के मुतअ़ल्लिक़ किसी ने दावा किया कि यह मेरा है और साबित कर दिया उसे ह़क़दार ले लेगा मगर यह तफ़रीक़ उसकी जानिब से नहीं लिहाज़ा यह ममनूअ् नहीं या वह ग़ुलाम माज़ून था उस पर दैन होगया और उसमें बिक गया या किसी जनायत में देदिया गया या किसी माल का तलफ़ किया उस में फ़रोख़्त होगया या एक में ऐब ज़ाहिर हुआ उसे वापस किया गया इन सूरतों में तफ़रीक़ ममनूअ् नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला13:– जो शख़्स रास्ते पर ख़रीद व फ़रोख़्त करता है अगर रास्ता कुशादा (चौड़ा) है कि उसके बैठने से राहगीरों पर तंगी नहीं होती तो ह़रज नहीं और अगर गुज़रने वालों को उसकी वजह से तकलीफ़ होजाये तो उससे सौदा ख़रीदना न चाहिये कि गुनाह पर मदद देना है क्योंकि जब कोई ख़रीदेगा नहीं तो वह बैठेगा क्यों। (आलमगीरी)

बैअ़ फुजूली का बयान

सही़ह बुख़ारी शरीफ़ में उ़रवा बिन अबिल'जअ़द बारिक़ी रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने उनको एक दीनार दिया था कि हुजूर के लिये बकरी ख़रीद लायें उन्होंने एक दीनार की दो बकरियाँ ख़रीदकर एक को एक दीनार में बेच डाला और हुजूर की ख़िदमत में एक बकरी और एक दीनार लाकर पेश किया उनके लिये हुजूर ने दुआ़ की कि उनकी बैअ़ में बरकत हो उस दुआ़ का यह असर था कि मिट्टी भी ख़रीदते तो उस में नफ़ा होता, तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने ह़कीम बिन ह़ज़ाम रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने उनको एक दीनार देकर भेजा कि हुजूर के लिये कुर्बानी का जानवर ख़रीद लायें उन्होंने एक दीनार में मेंढा ख़रीदकर दो दीनार में बेच डाला फिर एक दीनार में एक जानवर ख़रीदकर यह जानवर और एक दीनार लाकर पेश किया दीनार को हुजूर ने स़दक़ा करने का हुक्म दिया (क्योंकि यह कुर्बानी के जानवर की क़ीमत थी) और उनकी तिजारत में बरकत की दुआ़ की, "फुजूली उसको कहते हैं जो दूसरे के ह़क़ में बिग़ैर इजाज़त तस़र्रुफ़ करे"।

मसअ्ला.1:– फुजूली ने जो कुछ तस़र्रुफ़ किया अगर ब'वक़्ते अ़क़्द उसका मुजीज़ हो यानी ऐसा शख़्स हो जो जाइज़ कर देने पर क़ादिर हो तो अ़क़्द मुनअ़क़िद होजाता है मगर मुजीज़ की इजाज़त पर मौक़ूफ़ रहता है और अगर ब'वक़्ते अ़क़्द मुजीज़ न हो तो अ़क़्द मुनअ़क़िद ही नहीं होता, फुजूली का तस़र्रुफ़ कभी तमलीक की क़िस्म से होता है जैसे बैअ़, निकाह़ और कभी इसक़ात होता है जैसे त़लाक़, इताक़, मसलन उसने किसी की औ़रत को त़लाक़ देदी गुलाम को आज़ाद कर दिया दैन को मुआ़फ़ करदिया उसने उसके तस़र्रुफ़ात जाइज़ करदिये नाफ़िज़ हो जायेंगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– नाबालिग़ा समझवाली लड़की ने अपना निकाह़ कुफ़ू से किया और उसका कोई वली नहीं है वहाँ के क़ाज़ी की इजाज़त पर मौक़ूफ़ होगा या वह खुद बालिग़ होकर अपने निकाह़ को जाइज़ करदे तो जाइज़ है रद करदे तो बात़िल और अगर वह जगह ऐसी हो जो क़ाज़ी के तह़त में न हो तो निकाह़ मुनअ़क़िद ही न हुआ कि बर वक़्ते निकाह़ कोई मुजीज़ नहीं, नाबालिग़ आ़क़िल ग़ैर माजून ने किसी चीज़ को ख़रीदा या बेचा ओर वली मौजूद है तो इजाज़ते वली पर मौक़ूफ़ है और वली ने अब तक न इजाज़त दी न रद किया और वह खुद बालिग़ होगया तो अब खुद उसकी इजाज़त पर मौक़ूफ़ है उसको इख़्तेयार है कि जाइज़ करदे या रद करदे। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.3:– नाबालिग़ ने अपनी औ़रत को त़लाक़ दी या गुलाम को आज़ाद करदिया या अपना माल हिबा या स़दक़ा करदिया या अपने गुलाम का किसी औ़रत से निकाह़ किया या बहुत ज़्यादा नुक़स़ान के साथ अपना माल बेचा या कोई चीज़ ख़रीदी यह सब तस़र्रुफ़ात बात़िल हैं बालिग़ होने के बा़द उनको वह खुद भी जाइज़ करना चाहे तो जाइज़ नहीं होंगे कि बरवक़्ते अ़क़्द उन तस़र्रुफ़ात का कोई मुजीज़ (जाइज़ करने वाला) नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुह़तार)

मसअ्ला.4:– फुजूली ने दूसरे की चीज़ बिग़ैर इजाज़ते मालिक बैअ़ करदी तो यह बैअ़ मालिक की इजाज़त पर मौक़ूफ़ है और अगर खुद उसने अपने ही हाथ बैअ़ की तो बैअ़ मुनअ़क़िद ही न हुई (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– बैअ़े फुजूली को जाइज़ करने के लिये यह शर्त है कि मबीअ़ मौजूद हो अगर जाती रही तो बैअ़ ही न रही जाइज़ किस चीज़ को करेगा नीज़ यह भी ज़रूरी है कि आ़क़ेदैन यानी फुजूली व मुश्तरी दोनों अपने ह़ाल पर हों अगर उन दोनों ने खुद ही अ़क़्द को फ़स्ख़ कर दिया हो या उनमें कोई मरगया तो अब उस अ़क़्द को मालिक जाइज़ नहीं कर सकता और अगर समन ग़ैर नुक़ूद हो तो उसका भी बाक़ी रहना ज़रूरी है कि अब भी मबीअ़ मा़क़ूद अ़लैह है। (हिदाया)

मसअ्ला.6:– बैअ़े फुजूली में अगर किसी जानिब नक़्द न हो बल्कि दोनों त़रफ़ ग़ैर नुक़ूद हों मस़लन जैद की बकरी को अ़म्र ने बकर के हाथ एक कपड़े के एवज़ में बैअ़ किया और ज़ैद ने इजाज़त देदी तो बकरी देगा कपड़ा लेगा और अगर इजाज़त न दे जब भी कपड़े की बैअ़ हो

जायेगी और अम्र को बकरी की क़ीमत देकर कपड़ा लेना होगा इस मिसाल में मबीअ् क़ीमती है और अगर मिस्ली हो मस्लन गेहूँ जौ वग़ैरा तो उस मबीअ् की मिस्ल अम्र को देकर कपड़ा लेना होगा कि अम्र उस सूरत में बाइअ् भी है और मुश्तरी भी। (हिदाया)

मसअ्ला.7:– मालिक ने फुज़ूली की बैअ् जाइज़ कर दिया तो समन जो फुज़ूली लेचुका है मालिक का होगया और फुज़ूली के हाथ में बतौरे अमानत है और वह फुज़ूली बमन्ज़िलए वकील के हो गया। (हिदाया)

मसअ्ला.8:– मुश्तरी ने फुज़ूली को समन दिया और उसके हाथ में मालिक के जाइज़ करने से पहले हलाक होगया अगर मुश्तरी को समन देते वक़्त उसका फुज़ूली होना मा'लूम था तो तावान नहीं ले सकता वरना ले सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– फुज़ूली को यह भी इख़्तेयार है कि जब तक मालिक ने बैअ् को जाइज़ न किया बैअ् को फ़स्ख़ करदे और अगर फुज़ूली ने निकाह करदिया तो उसको फ़स्ख़ का हक़ नहीं। (हिदाया)

मसअ्ला.10:– फुज़ूली ने बैअ् की और जाइज़ करने से पहले मालिक मरगया तो वुरसा को उस बैअ् के जाइज़ करने का हक़ नहीं मालिक के मरने से बैअ् ख़त्म होगई। (हिदाया)

मसअ्ला.11:– एक शख़्स ने दूसरे के लिये कोई चीज़ ख़रीदी तो उस दूसरे की इजाज़त पर मौकूफ़ नहीं बल्कि बैअ् उसी पर नाफ़िज़ होजायेगी उसी को समन देना होगा और मबीअ् लेना होगा फिर अगर इसने उसको मबीअ् देदी और उसने इसको समन दे दिया तो बतौरे बैअ़े तआ़ती इन दोनों के दरम्यान एक जदीद बैअ् है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.12:– एक शख़्स फुज़ूली ने कोई चीज़ दूसरे के लिये ख़रीदी और अ़क़्द में दूसरे का नाम लिया यह कहा कि फ़ुलाँ के लिये मैंने ख़रीदी और बाइअ् ने भी कहा मैंने उसी के लिये बेची इस सूरत में फुज़ूली पर नाफ़िज़ नहीं बल्कि जिसका नाम लिया है उसकी इजाज़त पर मौकूफ़ है बाइअ् व मुश्तरी दोनों में से एक के कलाम में नाम आ जाना काफ़ी है जबकि दूसरे के कलाम में उसके ख़िलाफ़ की तस्रीह (ज़ाहिर बयान) न हो मस्लन मुश्तरी ने कहा मैंने फ़ुलाँ के लिये ख़रीदी और बाइअ् ने कहा मैंने तेरे हाथ बेची इस सूरत में बैअ् ही न हुई कि उस ईजाब का क़बूल नहीं पाया गया और अगर फ़क़त इतना ही कहता है कि मैंने बेची या मैंने क़बूल किया तो बैअ् होजाती और उस फ़ुलाँ की इजाज़त पर मौकूफ़ होती। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.13:– फुज़ूली ने किसी की चीज़ बैअ् करदी मुश्तरी ने या किसी ने आकर ख़बर दी कि इतने में तुम्हारी चीज़ बैअ् करदी मालिक ने कहा अगर सौ रूपये में बेची है तो इजाज़त है इस सूरत में अगर सौ रूपये या ज़्यादा में बेची है इजाज़त होगई कम में बेची है तो नहीं। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.14:– दूसरे का कपड़ा बेच डाला मुश्तरी ने उसे रंग दिया उसके बा'द मालिक ने बैअ् को जाइज़ किया जाइज़ होगई और मुश्तरी ने क़तअ् (काटकर) करके सी लिया अब इजाज़त दी तो नहीं हुई। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.15:– एक फुज़ूली ने एक शख़्स के हाथ बैअ् की दूसरे फुज़ूली ने दूसरे के हाथ यह दोनों अ़क़्द इजाज़त पर मौकूफ़ हैं अगर मालिक ने दोनों को जाइज़ किया तो उस चीज़ के निस्फ़ निस्फ़ में दोनों अ़क़्द जाइज़ होगये और मुश्तरी को इख़्तेयार है कि ले या न ले। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.16:– ग़ासिब ने मग़सूब को बैअ् किया यह बैअ् इजाज़ते मालिक पर मौकूफ़ है और अगर ख़ुद मालिक ने बैअ् की और ग़ासिब ग़सब से इनकार करता है तो उस पर मौकूफ़ है कि ग़ासिब ग़सब का इक़रार करले या गवाह से मालिक अपनी मिल्क साबित करदे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– ग़ासिब ने शय मग़सूब को बैअ् करदिया उसके बा'द उसी शय मग़सूब का तावान दे दिया तो बैअ् जाइज़ होगई। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.18:– एक चीज़ ग़सब करके मसाकीन को ख़ैरात करदी और अभी वह चीज़ मसाकीन के

पास मौजूद है कि ग़ासिब ने मालिक से ख़रीदली यह बैअ् जाइज़ है और मसाकीन से वापस ले सकता है उसके ख़रीदने के बाद अगर मसाकीन ने ख़र्च करडाली तो उनका तावान देना पड़ेगा और अगर मसाकीन को कफ़्फ़ारा में दी थी तो कफ़्फ़ार अदा न हुआ और अगर ग़ासिब ने ख़रीदी नहीं बल्कि मालिक को तावान देदिया तो सदक़ा जाइज़ है और मसाकीन से वापस नहीं ले सकता और कफ़्फ़ारा में दी थी तो अदा होगया, मालिक से उस वक़्त ख़रीदी कि मसाकीन सर्फ़ में ला चुके तो बैअ् बातिल है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.19:– फुजूली ने बैअ् की मालिक के पास समन पेश किया गया उसने ले लिया या मुश्तरी से उसने खुद समन तलब किया यह बैअ् की इजाज़त है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.20:– मालिक का यह कहना तूने बुरा किया या अच्छा किया, ठीक किया, मुझे बैअ् की दिक़्क़तों से बचा दिया, मुश्तरी को समन हिबा कर देना, सदक़ा कर देना, यह सब अलफ़ाज इजाज़त के हैं, यह कहदिया मुझे मन्जूर नहीं मैं इजाज़त नही देता तो रद होगई। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.21:– एक चीज़ के दो मालिक हैं और फुजूली ने बैअ् करदी उनमें से सिर्फ़ एक ने जाइज की तो मुश्तरी को इख़्तेयार है कि क़बूल करे या न करे क्योंकि उसने वह चीज़ पूरी समझकर ली थी और पूरी मिली नहीं लिहाज़ा इख़्तेयार है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.22:– मालिक को ख़बर हुई कि फुजूली ने उसकी फुलाँ चीज़ बैअ् करदी उसने जाइज़ करदी और अभी समन की मिक़दार मालूम नहीं हुई फिर बाद में समन की मिक़दार मालूम हुई और अब बैअ् को रद करता है रद नहीं हो सकती। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.23:– ज़ैद ने अ़म्र के हाथ किसी का गुलाम बेच डाला अ़म्र ने उसे आज़ाद कर दिया या बैअ् कर दिया उसके बाद मलिक ने ज़ैद की बैअ् को जाइज़ करदिया या ज़ैद से उसने ज़मान लिया या अ़म्र से ज़मान लिया बहर हाल अ़म्र ने आज़ाद कर दिया है तो इत्क़ नाफ़िज़ है और बैअ् किया है तो नाफ़िज़ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.24:– दूसरे का मकान बैअ् कर दिया और मुश्तरी को क़ब्ज़ा दे दिया उसके बाद उस फुजूली ने ग़सब का इक़रार किया और मुश्तरी इनकार करता है तो मुश्तरी से मकान वापस नहीं लिया जा सकता जब तक मालिक गवाहों से यह न साबित करदे कि मकान मेरा है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.25:– फुजूली ने मालिक के सामने बैअ् की और मालिक ने सूकूत (ख़ामोशी) किया इनकार न किया तो यह सुकूत इजाज़त नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.26:– दूसरे की चीज़ अपने नाबालिग़ लड़के या अपने गुलाम के हाथ बैअ् की फिर उसने मालिक को ख़बर दी कि मैंने बैअ् करदी मगर यह नहीं बताया कि किसके हाथ बेची तो यह बैअ् जाइज़ नहीं मगर गुलाम मदयून हो तो जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.27:– एक मकान में दो लोग शरीक हैं उन में एक ने निस्फ़ मकान बेच दिया उससे मुराद उसका हिस्सा होगा अगरचे बैअ् में मुतलक़न निस्फ़ कहा और अगर फुजूली ने निस्फ़ मकान बैअ् किया तो मुतलक़न निस्फ की बैअ् है दोनों शरीकों में जो कोई इजाज़त देगा उसके हिस्से में बैअ् सहीह हो जायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.28:– गेहूँ वग़ैरा कैली और वज़नी चीज़ों में दो शख़्स शरीक हों अगर वह शिरकत इस तरह हो कि दोनों की चीज़ें एक में मिल गईं या उन दोनों ने खुद मिलाई हैं अगर उनमें से एक ने अपना हिस्सा शरीक के हाथ बेचा तो जाइज़ है और अगर अजनबी के हाथ बेचा तो जब तक शरीक इजाज़त न दे जाइज़ नहीं और अगर मीरास या हिबा या बैअ् के ज़रिये से शिरकत है तो हर एक को अपना हिस्सा शरीक के हाथ बेचना भी जाइज़ है और अजनबी के हाथ भी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.29:– सबी महजूर या गुलाम महजूर (जो ख़रीदो फ़रोख़्त से रोक दिये गये हैं) और बोहरे की बैअ् मौकूफ़ है वली या मौला जाइज़ करेगा तो जाइज़ होगी रद करेगा बातिल होगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मरहून या मुस्ताजिर की बैअ्

मसअ्ला.30:– जो चीज़ रेहन रखी है या किसी को उजरत पर दी है उसकी बैअ् मुरतहिन या मुस्ताजिर की इजाज़त पर मौकूफ़ है यानी अगर जाइज़ कर देंगे जाइज़ हो जायेगी मगर बैअ् फ़स्ख़ करने का उनको इख़्तेयार नहीं और राहिन व मूजिर भी बैअ् को फ़स्ख़ नहीं कर सकते और मुश्तरी चाहे तो बैअ् को फ़स्ख़ कर सकता है यानी जब तक मुरतहिन व मुस्ताजिर ने इजाज़त न दी हो मुरतहिन या मुस्ताजिर ने पहले रद करदी फिर जाइज़ करदी तो बैअ् सहीह होगई, मुरतहिन व मुस्ताजिर ने इजाज़त नहीं दी और अब इजारा ख़त्म होगया या फ़स्ख़ करदिया गया और मुरतहिन का दैन अदा होगया या उसने मुआफ़ कर दिया और चीज़ छुड़ाली गई तो वही पहली बैअ् खुद ब'खुद नाफ़िज़ होगई, मुस्ताजिर ने बैअ् को जाइज़ कर दिया तो बैअ् सहीह होगई मगर उसके क़ब्ज़े से नहीं निकाल सकते जब तक उसका माल वुसूल न होले। (आलमगीरी, फ़तह, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.31:– जो चीज़ किराये पर है उसको ख़ुद किरायेदार के हाथ बैअ् किया तो इजाज़त पर मौकूफ नहीं बल्कि अभी नाफ़िज़ होगई। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.32:– किराये वाली चीज़ बेची और मुश्तरी को मालूम है कि यह चीज़ किराये पर उठी हुई है इस बात पर राज़ी होगया कि जब तक इजारे की मुद्दत पूरी न हो किराये पर रहे मुद्दत पूरी होने पर बाइअ् मुझे क़ब्ज़ा दिलाये इस सूरत में मुद्दत के अन्दर मबीअ् के दिला पाने का मुतालबा नहीं कर सकता और बाइअ् भी मुश्तरी से समन का मुतालबा नहीं कर सकता जब तक क़ब्ज़ा देने का वक़्त न आजाये। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.33:– काश्तकार को एक मुद्दते मुक़र्ररा तक के लिये खेत इजारे पर दिया चाहे काश्तकार ने अब तक खेत बोया हो या न बोया हो उसकी बैअ् काश्तकार पर मौकूफ़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.34:– किराये पर मकान है मालिके मकान ने किरायेदार की बिग़ैर इजाज़त उसको बैअ् किया किरायेदार बैअ् पर तैयार नहीं मगर उसने किराया बढ़ाकर नया इजारा किया तो बैअ् मौकूफ़ जाइज़ होगई क्योंकि पहला इजारा ही बाक़ी न रहा जो बैअ् को रोके हुआ था। (आलमगीरी)

मसअ्ला.35:– किराये की चीज़ पहले एक के हाथ बेची फिर खुद किरायेदार के हाथ बेच डाली पहली बैअ् टूट गई और मुस्ताजिर के हाथ बैअ् दुरुस्त होगई और अगर पहले एक शख़्स के हाथ बैअ् की फिर दूसरे के हाथ और मुस्ताजिर ने दोनों बैओं को जाइज़ किया पहली जाइज़ होगई दूसरी बातिल। (आलमगीरी)

मसअ्ला.36:– मुस्ताजिर को ख़बर हुई कि किराये की चीज़ मालिक ने फ़रोख़्त करदी उसने मुश्तरी से कहा मेरे इजारे में तुमने ख़रीदा तुम्हारी मेहरबानी होगी कि जो किराया देचुका हूँ जब तक वुसूल न करलूँ उस वक़्त तक मुझे छोड़दो इस गुफ़्तुगू से इजाज़त होगई और बैअ् नाफ़िज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.37:– राहिन ने बिग़ैर इजाज़ते मुरतहिन रेहन को बैअ् कर दिया उसके बाद फिर दूसरे के हाथ बेच डाला मुरतहिन जिस बैअ् को जाइज़ करदे जाइज़ है और समन से मुरतहिन अपना मुतालबा वुसूल करे अगर कुछ बचे तो राहिन को देदे और अगर राहिन ने बैअे अव्वल के बाद रेहन को उजरत पर देदिया या दूसरी जगह रेहन रखा और मुरतहिन ने इजारा या रेहन को जाइज़ कर दिया तो बैअ् नाफ़िज़ होगई और इजारे या रेहन जो कुछ था बातिल होगया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.38:– कभी ऐसा होता है कि मबीअ् पर दाम लिख देते हैं और कहते हैं जो रक़म इस पर लिखी है उतने में बेची मुश्तरी ने कहा ख़रीदी यह बैअ् भी मौकूफ़ है अगर उसी मज्लिस में मुश्तरी को रक़म का इल्म होजाये और बैअ् को इख़्तेयार करे तो बैअ् नाफ़िज़ है वरना बातिल।(दुर्रेमुख़्तार) बीजक (माल की फ़ेहरिस्त जिसमें हर चीज़ का भाव, क़ीमत, और मीज़ान दर्ज हो) पर भी बैअ् का यही हुक्म है कि मज्लिसे अक़्द में समन मालूम होना ज़रूरी है।

मसअ्ला.39:– जितने में यह चीज़ फ़ुलां ने बैअ् की या ख़रीदी है मैं भी ख़रीदता हूँ अगर बाइअ्

मुश्तरी दोनों को मा़लूम है कि फुलाँ ने इतने में बैअ़ की या ख़रीदी है यह जाइज़ है और अगर मुश्तरी को मा़लूम नहीं अगरचे बाइअ़ जानता हो तो यह बैअ़ मौकूफ़ है अगर उसी मज्लिस में इल्म होजाये और इख़्तेयार करले दुरुस्त हे वरना दुरुस्त नहीं। (रद्दुलमुहतार)

इक़ाला का बयान

अबू दाऊद व इब्ने माजा अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया जिसने किसी मुसलमान से इक़ाला किया क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला उसकी लग़ज़िश दफ़ा करेगा।

मसअ्ला.1:– दो शख़्सों के माबैन जो अ़क़्द हुआ है उसके उठा देने को इक़ाला कहते हैं यह लफ़्ज़ कि मैंने इक़ाला किया, छोड़ दिया, या फ़स्ख़ किया या दूसरे के कहने पर मबीअ़ या समन का फेर देना और दूसरे का ले लेना इक़ाला है निकाह, त़लाक़, इताक़, इब्रा को इक़ाला नहीं हो सकता, दोनों में से एक इक़ाला चाहता है तो दूसरे को मनजूर कर लेना इक़ाला कर देना मुस्तह़ब है और यह सवाब का मुस्तह़क़ है।

मसअ्ला.2:– इक़ाला में दुसरे का क़बूल करना ज़रूरी है या़नी तन्हा एक शख़्स इक़ाला नहीं कर सकता और यह भी ज़रूरी है कि क़बूल उसी मज्लिस में हो लिहाज़ा एक ने इक़ाला के अलफ़ाज़ कहे मगर दूसरे ने क़बूल नहीं किया या मज्लिस के बा़द किया इक़ाला न हुआ मसलन मुश्तरी मबीअ़ को बाइअ़ के पास करने के लिये लाया उसने इनकार कर दिया इक़ाला न हुआ फिर अगर मुश्तरी ने मबीअ़ को यहीं छोड़ दिया और बाइअ़ ने उस चीज़ को इस्तेमाल भी कर लिया अब भी इक़ाला न हुआ या़नी अगर मुश्तरी समन वापस मांगता है यह समन वापस करने से इनकार कर सकता है क्योंकि जब स़ाफ़ त़ौर पर इनकार कर चुका है तो इक़ाला न हुआ यूँही अगर एक ने इक़ाला की दरख़्वास्त की दुसरे ने कुछ न कहा और मज्लिस के बा़द इक़ाला को क़बूल करता है या पहले कोई ऐसा फ़ेअ़ल कर चुका जिससे मा़लूम होता है कि उसे मनजूर नहीं उसके बा़द क़बूल करता है तो क़बूल स़हीह नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमहतार)

मसअ्ला.3:– दलाल से किसी ने कहा कि मेरी यह चीज़ बैअ़ करदो और समन की कोई ताईन नहीं की थी दलाल ने वह चीज़ बैअ़ करदी और मालिक को आकर खबर दी कि इतने में मैंने बेच दी मालिक ने कहा इतने में मैं नहीं दुँगा दलाल मुश्तरी के पास जाता है और वाक़िआ कहता है मुश्तरी ने कहा मैं भी उसको नहीं चाहता उस से इक़ाला नहीं हुआ कि अव्वलन तो लफ़्ज़ ही इक़ाला के लिये नहीं है फिर यह कि ईजाब व क़बूल की एक मज्लिस नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.4:– एक शख़्स ने घोड़ा ख़रीदा फिर वापस करने के लिये बाइअ़ के पास आया बाइअ़ मौजूद न था उसके अस्तबल में घोड़ा छोड़कर चला गया फिर बाइअ़ ने उसका इलाज वग़ैरा कराया इक़ाला नहीं हुआ अगरचे ऐसे अफ़आ़ल जिनसे रज़ा'मन्दी स़ाबित होती है क़बूल के क़ायम मक़ाम होते हैं मगर मज्लिस का एक होना भी ज़रूरी है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.5:– इक़ाला के शराइत़ यह हैं (1) दोनों का राज़ी होना, (2) मज्लिस एक होना, (3)अगर बैअ़ सर्फ़ का इक़ाला हो तो उसी मज्लिस में तक़ाबुज़े बदलैन (चीज़ पर दोनों का क़ब्ज़ा करलेना) हो, (4)मबीअ़ का मौजूद होना शर्त़ है समन का बाक़ी रहना शर्त़ नहीं, (5)मबीअ़ ऐसी चीज़ हो जिसमें ख़्यारे शर्त़, ख़्यारे रूयत, ख़्यारे ऐब की वजह से बैअ़ फ़स्ख़ हो सकती हो अगर मबीअ़ में ऐसी ज़्यादती होगई हो जिसकी वजह से फ़स्ख़ न हो सके तो इक़ाला भी नहीं हो सकता, (6)बाइअ़ ने समन मुश्तरी को क़ब्ज़ा से पहले हिबा न किया हो। (आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– इक़ाला के वक़्त मबीअ़ मौजूद थी मगर वापस देने से पहले हलाक होगइ इक़ाला बात़िल हो गया। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.7:– जो समन बैअ़ में था उसी पर या उसकी मिस़्ल पर इक़ाला हो सकता है अगर कम

या ज़्यादा पर इक़ाला हो तो शर्त बातिल है और इक़ाला सहीह यानी उतना ही देना होगा जो बैअ् में समन था। (हिदाया) मस्लन हज़ार रूपये में एक चीज़ ख़रीदी उसका इक़ाला हजार में किया यह सहीह है और अगर डेढ़ हज़ार में किया जब भी हज़ार देना होगा और पाँच सौ का ज़िक्र लग्व है और पाँच सौ में किया और मबीअ् में कोई नुक़सान नहीं आया है जब भी हज़ार देना होगा और अगर मबीअ् में नुक़सान आगया है तो कमी के साथ इक़ाला हो सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– इक़ाला में दूसरी जिन्स का समन ज़िक्र किया गया मस्लन बैअ् हुई है रूपये से और इक़ाला में अशर्फ़ी या नोट वापस करना क़रार पाया तो इक़ाला सहीह है और वही समन वापस देना होगा जो बैअ् में था दूसरे समन का ज़िक्र लग्व है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– मबीअ् में नुक़सान आगया था इस वजह से समन से कम पर इक़ाला हुआ मगर वह ऐब जाता रहा तो मुश्तरी बाइअ् से वह कमी वापस लेगा जो समन में हुई है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.10:– ताज़ा साबुन बेचा था खुश्क होने के बाद इक़ाला हुआ मुश्तरी को सिर्फ़ साबुन ही देना होगा। (बहर)

मसअ्ला.11:– खेत मअ् ज़राअ़त (खेती) के जो तैयार है बैअ् किया गया मुश्तरी ने ज़राअ़त काट ली फिर इक़ाला हुआ ज़मीन के मक़ाबिल में जो समन है उसके साथ इक़ाला होगा और वक़्ते बैअ् ज़राअ़त कच्ची थी और अब तैयार होगई तो इक़ाला जाइज़ नहीं। (बहर)

मसअ्ला.12:– इक़ाला में मबीअ् बाक़ी रहे या कम होजाये उससे मुराद वह चीज़ है जिसकी बैअ् क़स्दन हो और जो चीज़ तबअ़न बैअ् में दाख़िल होजाती है उसकी कमी से मबीअ् का कम होना नहीं तसव्वुर किया जायेगा लिहाज़ा गाँव ख़रीदा था जिसमें दरख़्त थे दरख़्त मुश्तरी ने काट लिये फिर इक़ाला हुआ पूरा समन वापस करना होगा दरख़्तों की क़ीमत बाइअ् को नहीं मिलेगी हाँ अगर बाइअ् को उसका इल्म न हो कि दरख़्त काट लिये हैं तो इख़्तेयार है कि पूरे समन के बदले में ज़मीन वापस ले या बिलकुल छोड़दे यानी ज़मीन भी न ले। (बहर)

मसअ्ला.13:– आक़ेदैन के हक़ में इक़ाला फ़स्ख़े बैअ् है और दुसरे के हक़ में यह एक बैअ़े जदीद (नया सैदा) है लिहाज़ा अगर इक़ाला को फ़स्ख़ न क़रार दे सकते हों तो इक़ाला बातिल है मसलन मबीअ् लौन्डी या जानवर है जिसके क़ब्ज़े के बाद बच्चा पैदा हुआ तो उसका इक़ाला नहीं हो सकता। (हिदाया, फ़तह)

मसअ्ला.14:– कपड़ा ख़रीदा और उसको वापस करने गया उसने लफ़्ज़े इक़ाला ज़बान से निकाला ही था कि बाइअ् ने फ़ौरन कपड़े को क़तअ् कर डाला इक़ाला सहीह है यह फ़ेअ्ल क़बूल के क़ायम मक़ाम है। (फ़तह)

मसअ्ला.15:– मबीअ् का कोई जुज़ हलाक होगया और कुछ बाक़ी है तो जो कुछ बाक़ी है उसमें इक़ाला होसकता है और अगर बैअ् मुक़ाइज़ा हो यानी दोनों तरफ़ ग़ैर नुक़ूद हों और एक हलाक होगई तो इक़ाला हो सकता है दोनों जाती रहीं तो नहीं हो सकता। (हिदाया)

मसअ्ला.16:– गुलाम माज़ून (जिसको ख़रीदो फ़रोख़्त की इजाज़त है) या बच्चे के वसी या वक़्फ़ के मुतवल्ली ने कोई चीज़ गिरां बैअ् की है या अरज़ां (सस्ती) ख़रीदी है तो उनको इक़ाला करने की इजाज़त नहीं यानी करें भी तो इक़ाला न होगा और इक़ाला में अगर मौला या बच्चा या वक़्फ़ के लिये बेहतरी हो तो सहीह है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– वकील बिश्शिरा (जिसको वकील किया था कि फुलां चीज़ ख़रीद लाये) ख़रीद लेने के बाद इक़ाला नहीं कर सकता और वकील बिल'बैअ् इक़ाला कर सकता है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.18:– बाइअ् ने अगर मुश्तरी से अगर कुछ ज़्यादा दाम के लिये और मुश्तरी इक़ाला कराना चाहता है तो इक़ाला कर देना चाहिये और अगर बहुत ज़्यादा धोखा दिया है तो इक़ाला की ज़रूरत नहीं तनहा मुश्तरी बैअ् को फ़स्ख़ कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.19:– मबीअ् में अगर ज़्यादते मुत्तसिला ग़ैर मुतवल्लिदा (चीज़ में ऐसी ज़्यादती जो मिली हुई हो, पैदा हुई हुई न हो) हो जैसे कपड़े में रंग, मकान में जदीद तामीर तो इक़ाला नहीं होसकता (रद्दुलमुहतार)
मसअ्ला.20:– इक़ाले को शर्त पर मुअ़ल्लक़ करना सहीह नहीं मसलन बाइअ् ने मुश्तरी से कहा यह चीज़ तुम्हें बहुत सस्ती मैंने देदीं मुश्तरी ने कहा अगर तुमको ज़्यादा का ग्राहक मिल जाये तो बेच डालना उसने दूसरे के हाथ ज़्यादा दाम में बेच डाली यह दुसरी बैअ् सहीह नहीं हुई। (बहरुर्राइक़)
मसअ्ला.21:– शर्ते फ़ासिद से इक़ाला फ़ासिद नहीं होता। इक़ाला कर लिया मगर अभी बाइअ् ने मबीअ् पर क़ब्ज़ा नहीं किया फिर उसी मुश्तरी के हाथ बैअ् करदी यह बैअ् दुरुस्त है और उस मुश्तरी के एलावा दूसरे के हाथ बैअ् करेगा तो बैअ् फ़ासिद होगी कि सालिस के हक़ में बैअे जदीद है और मबीअ् को क़ब्ले क़ब्ज़ा के बेचना ना'जाइज़ है, मबीअ् अगर कैली या वज़नी है तो इक़ाला के बाद फिर नापने और तोलने की ज़रूरत नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.22:– इक़ाला हक़्क़े सालिस (तीसरे के हक़) में बैअे जदीद है लिहाज़ा मकान की बैअ् हुई थी और शफ़ीअ् (शुफ़ा का हक़ रखने वाला) ने शुफ़आ से इनकार कर दिया था फिर इक़ाला हुआ तो अब शफ़ीअ् पर शुफ़आ कर सकता है और यह जदीद हक़ हासिल होगा, मुश्तरी ने मबीअ् को बेच डाला फिर इक़ाला किया उसके बाद मालूम हुआ कि मबीअ् में कोई ऐसा ऐब है जो बाइअ् अव्वल के यहाँ था तो ऐब की वजह से बाइअ् अव्वल को वापस नहीं कर सकता, एक चीज़ ख़रीदी और क़ब्ज़ा कर लिया मगर अभी समन अदा नहीं किया मुश्तरी ने वह चीज़ दूसरे के हाथ बैअ् की फिर इक़ाला किया फिर बाइअ् अव्वल ने समन वुसूल करने से पहले समन अव्वल से कम में ख़रीदी यह जाइज़ है, कोई चीज़ हिबा की मौहूब लहू ने उसको बैअ् कर दिया फिर इक़ाला हुआ तो हिबा करने वाला उसको वापस नहीं कर सकता। (बहरुर्राइक़)
मसअ्ला.23:– कनीज़ ख़रीदी थी और मुश्तरी ने क़ब्ज़ा कर लिया था फिर इक़ाला हुआ तो बाइअ् पर इस्तिबरा (उस वक़्त तक वती न करे जब तक उसका ग़ैर हामिला होना मालुम न होजाये) वाजिब है बिग़ैर इस्तिबरा वती नहीं कर सकता। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.24:– जिस तरह बैअ् का इक़ाला हो सकता है ख़ुद इक़ाला का भी इक़ाला हो सकता है इक़ाला का इक़ाला करने से इक़ाला जाता रहा और बैअ् लौट आई हाँ बैअ् सलम में अगर मुस्लम फ़ी पर क़ब्ज़ा नहीं हुआ और इक़ाला होगया तो उस इक़ाला का इक़ाला नहीं हो सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मुराबहा और तौलिया का बयान

कभी ऐसा होता है कि मुश्तरी में इतनी होशियारी नहीं कि ख़ुद वाजिबी क़ीमत पर चीज़ ख़रीदे ला'मुहाला उसे दूसरे पर भरोसा करना पड़ता है कि उसने जिन दामों में चीज़ ख़रीदी है उतने ही दाम देकर उसे लेले या वह कुछ नफ़ा लेकर उसको चीज़ देना चाहता है और यह उसका एअ्तिबार करके ख़रीद लेता है क्योंकि मुश्तरी जानता है कि बिग़ैर नफ़ा के बाइअ् नहीं देगा और अगर इतना नफ़ा देकर न लूंगा तो बहुत मुमकिन है कि दूसरी जगह मुझको ज़्यादा दाम देने पड़ें या उससे कम में चीज़ न मिलेगी लिहाज़ा उस नफ़ा देने को ग़नीमत समझता है और बैअे मुतलक़ और उसमें सिर्फ़ इतना ही फ़र्क़ है कि यहाँ अपनी ख़रीद के दाम बताकर उतना ही लेना चाहता है या उसपर नफ़ा की एक मुअ़य्यन मिक़दार ज़्यादा करता है लिहाज़ा बैअे मुतलक़ का जवाज़ उसका जवाज़ है और चूँकि मुश्तरी ने यहाँ बाइअ् पर भरोसा किया है लिहाज़ा यहाँ बाइअ् को पूरी तौर पर सच्चाई और अमानत से काम लेना ज़रूरी है ख़्यानत बल्कि उसके शुब्ह से भी एहतिराज़ लाज़िम (बचना ज़रूरी) है ख़्यानत या शुबहाये ख़्यानत का भी अ़क़्द पर असर पड़ेगा जैसा कि इस बाब के मसाइल से वाज़ेह होगा, इस बैअ् का जवाज़ इस हदीस से भी है कि जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने हिजरत का इरादा फ़रमाया हज़रत अबूबक्र रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने दो ऊँट ख़रीदे हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया एक का मेरे हाथ तौलिया करदो उन्होंने अ़र्ज़ की हुज़ूर के

लिये बिग़ैर दाम के हाज़िर हैं इरशाद फ़रमाया बिग़ैर दाम के नहीं। (हिदाया) नीज़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने सईद बिन अलमुसय्यिब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया तौलिया व इक़ाला व शिरकत सब बराबर हैं इन में हरज नहीं(कन्ज़ुल उम्माल)

मसअ्ला.1:– जो चीज़ जिस क़ीमत पर ख़रीदी जाती है और जो कुछ मसारिफ़ उसके मुतअ़ल्लिक़ किये जाते हैं उनको ज़ाहिर करके उसपर नफ़ा की एक मिक़दार बढ़ाकर कभी फ़रोख़्त करते हैं उसको मुराबहा कहते हैं और अगर नफ़ा कुछ नहीं लिया तो उसको तौलिया कहते हैं, जो चीज़ अलावा बैअ़ के किसी और तरीक़े से मिल्क में आई मस्लन उसको किसी ने हिबा की या मीरास में हासिल हुई या वसियत के ज़रीये से मिली उसकी क़ीमत लगाकर मुराबहा व तौलिया कर सकत हैं(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– रूपये और अशर्फ़ी में मुराबहा नहीं हो सकता मस्लन एक अशर्फ़ी पन्द्रह रूपये को ख़रीदी और उसको एक रूपया या कम व बेश नफ़ा लगाकर मुराबहतन बैअ़ करना चाहता है यह जाइज़ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, फ़तह)

मसअ्ला.3:– मुराबहा या तौलिया सहीह होने की शर्त यह है कि जिस चीज़ के बदले में मुश्तरी–ए–अव्वल ने ख़रीदी है वह मिस्ली हो ताकि मुश्तरी–ए–सानी वह समन क़रार देकर ख़रीद सकता हो और अगर मिस्ली न हो बल्कि क़ीमती हो तो यह ज़रूर है कि मुश्तरी–ए–सानी उस चीज़ का मालिक हो मस्लन ज़ैद ने अम्र से कपड़े के बदले में गुलाम ख़रीदा फिर उस गुलाम का बकर से मुराबहा या तौलिया करना चाहता है अगर बकर ने वही कपड़ा अम्र से ख़रीद लिया है या किसी तरह बकर की मिल्क में आचुका है तो मुराबहा हो सकता है या बकर ने उसी कपड़े के एवज़ में मुराबहा किया और अभी वह कपड़ा अम्र ही की मिल्क है मगर बादे अक़्द अम्र ने अक़्द को जाइज़ कर दिया तो वह मुराबहा भी दुरुस्त है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.4:– मुराबहा में जो नफ़ा क़रार पाया है उसका मालूम होना ज़रूरी है और अगर वह नफ़ा क़ीमती हो तो इशारा करके उसे मुअ़य्यन कर दिया गया हो मस्लन फ़ुलां चीज़ जो तुमने दस रूपये को ख़रीदी है मेरे हाथ दस रूपये और उस कपड़े के एवज़ में बैअ़ करदो। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– समन से मुराद वह है जिस पर अक़्द वाक़ेअ़ हुआ हो फ़र्ज़ करो मस्लन दस रूपये में अक़्द हुआ मगर मुश्तरी ने उनके एवज़ में कोई दूसरी चीज़ बाइअ़ को दी है यह उसी क़ीमत की हो या कम व बेश की बहर हाल मुराबहा व तौलिया में दस रूपये का लिहाज़ होगा न उसका जो मुश्तरी ने दिया।(फ़तहुलक़दीर)

मसअ्ला.6:– दहयाज़्दह के नफ़अ़ पर मुराबहा हो (यानी हर दस पर एक रूपया नफ़ा दस की चीज़ है तो ग्यारह बीस की है तो बाईस व अ़ला हाज़लक़ियास) अगर समने अव्वल क़ीमती है मस्लन कोई चीज़ एक घोड़े के बदले में ख़रीदी है और वह घोड़ा उस मुश्तरी–ए–सानी को मिल गया जो मुराबहतन ख़रीदना चाहता है और दहयाज़्दह के तौर पर ख़रीदा और मतलब यह हुआ कि घोड़ा देगा और घोड़े की जो क़ीमत है उसमें फ़ी दहाई एक रूपया देगा यह बैअ़ दुरुस्त नहीं कि घोड़े की क़ीमत मजहूल है लिहाज़ा नफ़ा की मिक़दार मजहूल और अगर बैअ़े अव्वल का समन मिस्ली हो मस्लन पहले मुश्तरी ने सौ रूपये के एवज़ में ख़रीदी और दहयाज़्दह के नफ़ा से बेची उसका मुहसिल (हासिल) एक सौ दस रूपये हुआ अगर यह पूरी मिक़दार मुश्तरी को मालूम हो जब तो सहीह है और मालूम न हो और उसी मज्लिस में उसे ज़ाहिर कर दिया गया हो तो उसे इख़्तेयार है कि लें या न ले और अगर मज्लिस में भी मालूम न हुआ तो बैअ़े फ़ासिद है। (दुर्रेमुख़्तार) आज कल आ़म तौर पर ताजिरों में आना रूपया, दो आना रूपया, नफ़ा के हिसाब से बैअ़ होती है उसका हुक्म वही दहयाज़्दह का है कि वक़्ते अक़्द मालूम हो या मज्लिसे अक़्द में मालूम होजाये तो बैअ़ सहीह है वरना फ़ासिद।

मसअ्ला.7:– एक चीज़ की क़ीमत दस रूपये दूसरे शहर के सिक्कों से क़रार पाई मस्लन हैदराबाद में अंग्रेज़ी दस रूपये को समन क़रार दिया (अब चूँकि हिन्दुस्तान में एक ही सिक्के या नोट का

चलन है इस लिए यह मिसाल अब सादिक नहीं आती (अमीनुल कादरी)) और उसको एक रूपये के नफ़ा से लिया उस रूपये से मुराद उस शहर का सिक्का है यानी दस रूपये दूसरे सिक्के के और एक रूपया यहाँ का देना होगा और अगर उसको भी दहयाज़दह के तौर पर ख़रीदा है तो कुल स्मन व नफ़ा उसी दूसरे सिक्के से देना होगा। (फतहुल'कदीर)

कौन से मसारिफ़ का रासुल'माल पर इज़ाफ़ा होगा

मसअला.8:– रासुल'माल जिस पर मुराबहा व तौलिया की बिना है (कि उसपर नफा की मिकदार बढाइं जाये तो मुराबहा और कुछ न बढे वही समन रहे तो तौलिया) इस में धोबी की उजरत मस्लन थान ख़रीदकर धुलवाया है, और नक्श ो निगार हुआ है जैसे चिकन कढ़वाई है, हाशिया के फुंदने बटे गये हैं, कपडा रंगा गया है बारबर्दारी दीगई है यह सब मसारिफ़ रासुल'माल पर इजाफ़ा किये जा सकते हैं (हिदाया, फतहुलकदीर)

मसअला.9:– जानवर को खिलाया है उसको भी रासुल'माल पर इज़ाफ़ा किया जायेगा मगर जबकि उसका दूध, घी वग़ैरा हासिल किया है तो उसको उस में से कम करें अगर चारा के मसारिफ़ (खर्च) कुछ बच रहे तो उस बाक़ी को इज़ाफ़ा करें यूँही मुर्ग़ी पर कुछ खर्च किया और उसने अण्डे दिये हैं तो उनको मुजरा (कम करके) देकर बाक़ी को इज़ाफ़ा करें, जानवर या ग़ुलाम या मकान को उजरत पर दिया है किराये की आमदनी को मसारिफ़ से मिनहा नहीं करेंगें बल्कि पूरे मसारिफ़ खाने वग़ैरा के इज़ाफ़ा करेंगे। (फतह)

मसअला.10:– घोड़े का इलाज कराया सलोतरी (घोडों का इलाज करने वाला) को उजरत दी या जानवर भाग गया कोई पकड़कर लाया उसे मज़दूरी दी उसको रासुल'माल पर इज़ाफ़ा नहीं केरेंगे। (फतह) खेत या बाग़ को पानी दिया है उसको साफ़ कराया है पानी की नालियाँ दुरुस्त कराई हैं उस में पेड़ लगाये हैं यह स़र्फ़ा भी शामिल किया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.11:– मकान की मरम्मत कराई है, सफ़ाई कराई है, प्लास्टर कराया है कुँआ खुदवाया है इन सब के मसारिफ़ शामिल होंगे, दलाल को जो कुछ दिया गया है वह भी शामिल होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.12:– चरवाहे की उजरत या खुद अपने मसारिफ मस्लन जाने, आने का किराया और अपनी ख़ुराक और जो काम खुद किया है या किसी ने मुफ़्त कर दिया है उस काम की उजरत जिस मकान में चीज़ को रखा है उसका किराया इन सबको इज़ाफ़ा नहीं करेंगे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.13:– क्या चीज़ इज़ाफ़ा करेंगे और क्या नहीं करेंगे इसका क़ायदा कुल्लिया यह है कि इस बाब में ताजिरों का उ़र्फ़ देखा जायेगा जिसके मुतअ़ल्लिक़ उ़र्फ़ है उसे शामिल करें और उ़र्फ़ न हो तो शामिल न करें। (दुर्रेमुख़्तार, फतह)

मसअला.14:– जो मसारिफ़ ना'जाइज़ तौर पर जबरन वुसूल किये जाते हैं जैसे चुंगी अगर तुज्जार का उ़र्फ़ उसके इज़ाफ़ा करने का हो तो इज़ाफ़ा करें वरना नहीं। (दुर्रेमुख़्तार) ग़ालिबन चुंगी को आज कल के तुज्जार तौलिया व मुराबहा में रासुल'माल पर इज़ाफ़ा करते हैं।

मसअला.15:– जो मसारिफ़ इज़ाफ़ा करने के हैं उन्हें इज़ाफ़ा करने के बाद बाइअ़ यह न कहे मैंने इतने को ख़रीदी है क्योंकि यह झूठ है बल्कि यह कहे कि मुझे इतने में पड़ी है। (हिदाया,वग़ैरा)

मसअला.16:– बैअ़े मुराबहा में अगर मुश्तरी को मा़लूम हुआ कि बाइअ़ ने कुछ ख़्यानत की है मसलन अस़ली समन पर ऐसे मसारिफ़ इज़ाफ़ा किये हैं जिनको इज़ाफ़ा करना ना'जाइज़ है या उस समन को बढ़ाकर बताया दस में ख़रीदी थी बताये ग्यारह तो मुश्तरी को इख़्तेयार है कि पूरे समन पर ले या न ले यह नहीं कर सकता कि जितना ग़लत बताया है उससे कम करके समन अदा करे, उसने ख़्यानत की है उसे मा़लूम करने की तीन सूरतें हैं खुद उसने इक़रार किया हो या मुश्तरी ने उसको गवाहों से स़ाबित किया या उसपर हलफ़ दिया गया उसने क़सम से इनकार किया, तौलिया में अगर बाइअ़ की ख़्यानत स़ाबित हो तो जो कुछ ख़्यानत की है उसे कम करके मुश्तरी स़मन अदा करे मस्लन उसने कहा मैंने दस रूपये में ख़रीदी है और स़ाबित हुआ कि आठ में ख़रीदी है तो

आठ देकर मबीअ् ले लेगा। (हिदाया,फतह)

मसअ्ला.17:– मुराबहा में ख़्यानत ज़ाहिर हुई और फेरना चाहता है फेरने से पहले मबीअ् हलाक हो गई या उसमें कोई ऐसी बात पैदा होगई जिससे बैअ् को फ़स्ख़ करना ना'दुरूस्त हो जाता है तो पूरे समन पर मबीअ् को रख लेना ज़रूरी होगा अब वापस नहीं कर सकता न नुक़सान का मुआवज़ा मिल सकता है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.18:– एक चीज़ ख़रीदकर मुराबहतन बैअ् की फिर उसको ख़रीदा अगर फिर मुराबहा करना चाहे तो पहले मुराबहा में जो कुछ नफ़ा मिला है दूसरे समन से कम करे और अगर नफ़ा इतना हुआ कि दूसरे समन को मुस्तग़रक़ होगया तो अब मुराबहतन बैअ् हीं नहीं हो सकती उसकी मिसाल यह है कि एक कपड़ा दस में ख़रीदा था और पन्द्रह में मुराबहा किया फिर उसी कपड़े को दस में ख़रीदा तो उस में से पाँच रूपये पहले के नफ़ा वाले साक़ित करके पाँच रूपये पर मुराबहा कर सकता है और यह कहना होगा कि पाँच रूपये में पड़ा है और अगर पहले बीस रूपये में बेचा था फिर उसी को दस में ख़रीदा तो गोया कपड़ा मुफ़्त है कि नफ़ा निकालने के बाद समन कुछ नहीं बचता इस सूरत में फिर मुराबहा नहीं हो सकता यह उस सूरत में है कि जिसके हाथ मुराबहतन बेचा है अब तक वह चीज़ उसी के पास रही उसने उसी से ख़रीदी और अगर उसने किसी दूसरे के हाथ बेचदी उसने उससे ख़रीदी ग़र्ज़ यह कि दरम्यान में कोई बैअ् आजाये तो अब जिस समन से ख़रीदा है उसी पर मुराबहा करे नफ़ा कम करने की ज़रूरत नहीं। (हिदाया,फतह)

मसअ्ला.19:– जिस चीज़ को जिस समन से ख़रीदा उसे दूसरे जिन्स से बेचा मसलन दस रूपये में ख़रीदी फिर किसी जानवर के बदले में बैअ् की फिर दस रूपये में ख़रीदी तो दस रूपये पर मुराबहा हो सकता है अगरचे वह जानवर जिसके बदले में पहले बेची थी दस रूपये से ज़्यादा का हो एक तीसरी सूरत समने सानी पर मुराबहा जाइज़ होने की यह है कि उस अम्र को ज़ाहिर करदे कि मैंने दस रूपये में ख़रीदकर पन्द्रह में बेची फिर उसी मुश्तरी से दस रूपये में ख़रीदी है और उस दस रूपये पर मुराबहा करता हूँ। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.20:– सुलह के तौर पर जो चीज़ हासिल हो उसका मुराबहा नहीं हो सकता मसलन ज़ैद के अम्र पर दस रूपये चाहिये थे उसने मुतालबा किया अम्र ने कोई चीज़ देकर सुलह करली यह चीज़ ज़ैद को अगरचे दस रूपये के मुआवज़े में मिली है मगर उसका मुराबहा दस रूपये में नहीं हो सकता। (हिदाया)

मसअ्ला.21:– चन्द चीज़ें एक अ़क़्द में एक समन के साथ ख़रीदी गईं उनमें से एक के मक़ाबिल में समन का एक हिस्सा फ़र्ज़ करके मुराबहा करें यह ना'जाइज़ है जबकि यह क़ीमती चीज़ें हों और समन की तफ़सील न हो और अगर मिस्ली हों मसलन दो मन ग़ल्ला पाँच रूपये में ख़रीदा था एक मन का मुराबहा कर सकता है यूँही कपड़े के चन्द थान इस तरह ख़रीदे कि हर थान दस रूपये का है तो एक थान का मुराबहा कर सकता है। (फतहुलक़दीर, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.22:– मुकातब या गुलाम माजून ने एक चीज़ दस रूपये में ख़रीदी थी उसके मौला ने उस से पन्द्रह में ख़रीद ली या मौला ने दस में ख़रीदकर गुलाम के हाथ पन्द्रह में बेची तो उसका मुराबहा उसी बैअे अव्वल के समन पर यानी दस पर हो सकता है पन्द्रह पर नहीं हो सकता यूँही जिसकी गवाही उसके हक़ में मक़बूल न हो जैसे उसके उसूल माँ, बाप, दादा, दादी या उसके फ़ुरूअ् बेटा, बेटी, वग़ैरा और मियाँ बीवी और दो शख़्स जिन में शिरकते मुफ़ावज़ा है उन में एक ने एक चीज़ ख़रीदी फिर दूसरे ने नफ़ा देकर उससे ख़रीदली तो मुराबहा दूसरे समन पर नहीं हो सकता हाँ अगर यह लोग ज़ाहिर करदें कि यह ख़रीदारी इस तरह हुई है तो जिस समन से खुद ख़रीदी है उस पर मुराबहा होसकता है। (हिदाया, फतह, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.23:– अपने शरीक से कोई चीज़ ख़रीदी मगर यह चीज़ शिरकत की नही है तो जिस

क़ीमत पर उसने ख़रीदी है मुराबहा कर सकता है और यह ज़ाहिर करने की भी ज़रूरत नहीं कि शरीक से ख़रीदी है और अगर वह चीज़ शिरकत की हो तो उसमें जितना उसका हिस्सा है उसमें वह समन लिया जायेगा जिससे शिरकत में ख़रीदारी हुई और जितना शरीक का हिस्सा है उसमें उस समन का एअ्तिबार होगा जिससे उसने अब ख़रीदी है मसलन एक हज़ार में वह चीज़ ख़रीदी गई थी और बारह सौ में उसने शरीक से ख़रीदी तो ग्यारह सौ पर मुराबहा हो सकता है।(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला24:– मुज़ारिब ने एक चीज़ दस रूपये में ख़रीदी और माल वाले के हाथ पन्द्रह रूपये में बेचदी अगर मुज़ारिब निस्फ़ नफ़ा के साथ है तो रब्बुल माल उस चीज़ को साढ़े बारह रूपये पर मुराबहा कर सकता है क्योंकि नफ़ा के पाँच में ढाई रूपये उसके हैं लिहाज़ा मबीअ् उसको साढ़े बारह में पड़ी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.25:– मबीअ् में कोई ऐब बाद में मालूम हुआ और यह राज़ी होगया तो उसका मुराबहा कर सकता है यानी ऐब की वजह से समन में कमी करने की ज़रूरत नहीं यूँही अगर उसने मुराबहतन यह चीज़ ख़रीदी थी और बाद में बाइअ् की ख़्यानत पर मुत्तला हुआ मगर मबीअ् को वापस नहीं किया बल्कि उसी पर राज़ी रहा तो जिस समन पर ख़रीदी है उसी पर मुराबहा करेगा। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.26:– मबीअ् में अगर ऐब पैदा होगया मगर वह ऐब किसी के फ़ेअ्ल से पैदा न हुआ चाहे आफ़ते समावी (कुदरती आफ़त) से हो या ख़ुद मबीअ् के फ़ेअ्ल से हो। ऐसे ऐब को मुराबहा में बयान करना ज़रूरी नहीं यानी बाइअ् को यह कहना ज़रूरी नहीं कि मैंने जब ख़रीदी थी उस वक़्त ऐब न था मेरे यहाँ ऐब पैदा होगया और बाज़ फुक़हा उसको बयान करना ज़रूरी बताते हैं, कपड़े को चूहे ने कतर लिया या आग से कुछ जल गया उसका भी वही हुक्म है रहा ऐब को बयान करना उसको हम पहले बता चुके हैं कि मबीअ् के ऐब पर मुत्तला (ख़बर) हो तो उसका ज़ाहिर कर देना ज़रूरी है छुपाना हराम है, लोन्डी सय्यिब थी उस से वती की और उससे नुक़सान पैदा न हुआ तो उसका बयान करना ज़रूरी नहीं और नुक़सान पैदा हुआ तो बयान करना ज़रूरी है, और अगर मबीअ् में उसके फ़ेअ्ल से ऐब पैदा होगया या दूसरे के फ़ेअ्ल से चाहे उसने उसके हुक्म से फ़ेअ्ल किया या बिग़ैर हुक्म के चाहे उसने उस नुक़सान का मुआवज़ा ले लिया हो या न लिया हो, या कनीज़ बिक्र (जिस से वती न की गई हो) थी उससे वती की इन बातों को ज़ाहिर कर देना ज़रूर है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.27:– जिस वक़्त उसने ख़रीदी थी उस वक़्त नर्ख़ गिरां था और अब बाज़ार का हाल बदल गया उसको ज़ाहिर करना भी ज़रूर नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.28:– जानवर या मकान ख़रीदा था उसको किराये पर देदिया मुराबहा में यह बयान करने की ज़रूरत नहीं कि उसका कितना किराया वुसूल कर लिया है और अगर जानवर से घी दूध हासिल किया है तो उसको समन में मुजरा देना होगा। (फ़तह)

मसअ्ला.29:– कोई चीज़ गिरां ख़रीदी और इतने दाम ज़्यादा दिये कि लोग उतने में नहीं ख़रीदते तो मुराबहा व तौलिया में उसको ज़ाहिर करना ज़रूर है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.30:– एक चीज़ हज़ार रूपये की ख़रीदी थी और समन मोअज्जिल था यानी उसके अदा के लिये एक मुद्दत मुक़र्रर थी उसको सौ रूपये के नफ़ा पर बेचा तो यह बयान करना ज़रूरी है कि बैअ् में समन मोअज्जिल था और अगर बयान न किया और मुश्तरी को बाद में मालूम हुआ तो उसे इख़्तेयार है कि ग्यारह सौ में ले या न ले और अगर मबीअ् हलाक होचुकी है तो वह ग्यारह सौ में बिला मीआद उसको देना लाज़िम है। (दुर्रेमुख़्तार) इन मसाइल में तौलिया का भी वही हुक्म है जो मुराबहा का है।

मसअ्ला.31:– जितने में ख़रीदी थी या जितने में पड़ी है उसी पर तौलिया किया मगर मुश्तरी को यह मालूम नहीं कि वह क्या रक़म है यह बैअ् फ़ासिद है फिर अगर मज्लिस में उसे इल्म होजाये तो उसे इख़्तेयार है ले या न ले और मज्लिस में भी इल्म न हुआ तो अब फ़साद दफ़ा नहीं हो

सकता है। मुराबहा का भी यही हुक्म है। (दुर्रेमुख़्तार,वग़ैरा)

मसअ्ला.32:– जो समन मुक़र्रर हुआ था बाइअ् ने उसमें से कुछ कम कर दिया तो मुराबहा व तौलिया में कम करने के बाद जो बाक़ी है वह रासुल'माल क़रार दिया जाये और अगर मुराबहा व तौलिया कर लेने के बाद बाइअ् अव्वल ने समन कम किया है तो यह भी मुश्तरी से कम करदे और अगर बाइअ् अव्वल ने कुल समन छोड़ दिया तो जो मुक़र्रर हुआ था उस पर मुराबहा व तौलिया करे। (फ़तहुल'क़दीर)

मसअ्ला.33:– एक ग़ुलाम का निस्फ़ सौ रूपये में ख़रीदा फिर दूसरे निस्फ़ को दो सौ में ख़रीदा जिस निस्फ़ का चाहे मुराबहा करे और उस समन पर होगा जिससे उसने ख़रीदा और पूरे का मुराबहा करना चाहे तो तीन सौ पर होगा। (आलमगीरी)

मबीअ् व समन में तसर्रुफ़ का बयान

बुख़ारी व मुस्लिम व अबू दाऊद व नसई व बैहक़ी अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कहते हैं बाज़ार में ग़ल्ला ख़रीदकर उसी जगह (बिग़ैर क़ब्ज़ा किये) लोग बेच डालते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने उसी जगह बैअ् करने से मना फ़रमाया जब तक मुन्तक़िल न करलें, नीज़ सहीहैन में उन्हीं से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स ग़ल्ला ख़रीदे जब तक क़ब्ज़ा न करले उसे बैअ् न करे" अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा कहते हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने क़ब्ज़ा से पहले बेचना मना किया वह ग़ल्ला है मगर मेरा गुमान यह है कि हर चीज़ का यही हुक्म है।

मसअ्ला.1:– जायदाद ग़ैर मन्क़ूला (जो जायदाद एक जगह से दूसरी जगह न लेजाई जा सके) ख़रीदी है उसको क़ब्ज़ा करने से पेशतर बैअ् करना जाइज़ है क्योंकि उसका हलाक होना बहुत नादिर है और अगर वह ऐसी हो जिसके ज़ायअ् होने का अन्देशा हो तो जब तक क़ब्ज़ा न करले बैअ् नहीं कर सकता मसलन बाला ख़ाना या दरिया के किनारे का मकान और ज़मीन या वह ज़मीन जिस पर रेता चढ़ जाने का अन्देशा हो। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.2:– मनक़ूल चीज़ ख़रीदी तो जब तक क़ब्ज़ा न करले उसकी बैअ् नहीं कर सकता और हिबा व सदक़ा कर सकता है, रेहन रख सकता है, क़र्ज़ आ़रियत देना चाहे तो दे सकता है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– मनक़ूल चीज़ क़ब्ज़ा से पहले बाइअ् को हिबा करदी और बाइअ् ने क़बूल करली तो बैअ् जाती रही और अगर बाइअ् के हाथ बैअ् की तो यह बैअ् सहीह नहीं पहली बैअ् बदस्तूर बाक़ी रही। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– खुद बाइअ् ने मुश्तरी के क़ब्ज़े से पहले मबीअ् में तसर्रुफ़ किया उसकी दो सूरतें हैं मुश्तरी के हुक्म से उसने तसर्रुफ़ किया या बिग़ैर हुक्म, अगर हुक्म से तसर्रुफ़ किया मसलन मुश्तरी ने कहा इसको हिबा करदे या किराये पर देदे बाइअ् ने कर दिया तो मुश्तरी का क़ब्ज़ा होगया और अगर बिग़ैर अम्र तसर्रुफ़ किया मसलन वह चीज़ रेहन रखदी या उजरत पर देदी, अमानत रखदी और मबीअ् हलाक होगई बैअ् जाती रही और अगर बाइअ् ने आ़रियत दी, हिबा किया, रेहन रखा और मुश्तरी ने जाइज़ कर दिया तो यह भी मुश्तरी का क़ब्ज़ा होगया। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.5:– मुश्तरी ने बाइअ् से कहा फ़ुलां के पास मबीअ् रखदो जब मैं दाम अदा करूँगा मुझे देदेगा और बाइअ् ने उसे देदी तो यह मुश्तरी का क़ब्ज़ा न हुआ बल्कि बाइअ् ही का क़ब्ज़ा है यानी वह चीज़ हलाक होगी तो बाइअ् की हलाक होगी। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.6:– एक चीज़ ख़रीदी थी उसपर क़ब्ज़ा नहीं किया बाइअ् ने दूसरे के हाथ ज़्यादा दामों में बेच डाली मुश्तरी ने बैअ् जाइज़ करदी जब भी यह बैअ् दुरुस्त नहीं कि क़ब्ज़ा से पेशतर है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.7:– जिसने कैली चीज़ कैल के साथ या वज़नी चीज़ वज़न के साथ ख़रीदी या अ़ददी चीज़ गिन्ती के साथ ख़रीदी तो जब तक नाप या तोल या गिन्ती न करले उसको बेचना भी जाइज़

नहीं और खाना भी जाइज़ नहीं और अगर तख़्मीना से ख़रीदी यानी मबीअ् सामने मौजूद है देखकर उस सारी को ख़रीद लिया यह नहीं कि इतने सेर या इतने नाप या इतनी तादाद को ख़रीदा तो उस में तसर्रुफ़ करने, बेचने, खाने के लिये नाप तोल वग़ैरा की ज़रूरत नहीं, और अगर यह चीज़ें हिबा, मीरास, वसिय्यत में हासिल हुईं या खेत में पैदा हुई हैं तो नापने वग़ैरा की ज़रूरत नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– बैअ् के बाद बाइअ् ने मुश्तरी के सामने नापा, तोला था या बैअ् के बाद उसकी ग़ैर हाज़िरी में नापा, तोला तो वह काफ़ी नहीं बिग़ैर नापे तोले उसको खाना और बेचना जाइज़ नहीं (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– मौज़ून या मकील (तोलकर या नापकर बेची जाने वाली चीजें) को बैअे तआती के साथ ख़रीदा तो मुश्तरी का नापना, तोलना ज़रूरी नहीं क़ब्ज़ा कर लेना काफ़ी है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– बाइअ् ने बैअ् से पहले तोला था उसके बाद एक शख़्स ने जिसके सामने तोला उसको ख़रीदा मगर उसने नहीं तोला और बैअ् करदी और तोलकर मुश्तरी को दी यह बैअ् जाइज़ नहीं कि तोलने से क़ब्ल हुई। (फ़तहुल'क़दीर)

मसअ्ला.11:– थान ख़रीदा अगरचे गज़ों के हिसाब से ख़रीदा मसलन यह थान दस गज़ का है और उसके दाम यह हैं उसमें तसर्रुफ़ नापने से पहले जाइज़ है हाँ अगर बैअ् में गज़ के हिसाब से क़ीमत हो मसलन एक रूपये गज़ तो जब तक नाप न लिया जाये तसर्रुफ़ जाइज़ नहीं और मौज़ून चीज़ ऐसी हो कि उसके टुकड़े करना मुज़िर हों तो वज़न करने से पहले उसमें तसर्रुफ़ जाइज़ है जैसे ताँबे वग़ैरा के लोटे और बर्तन। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– समन में क़ब्ज़ा करने से पहले तसर्रुफ़ जाइज़ है उसको बैअ् व हिबा व इजारा व सदक़ा व वसिय्यत सब कुछ कर सकते हैं, समन कभी हाज़िर होता है मसलन यह चीज़ इन दस रूपयों के बदले में ख़रीदी पहली सूरत में हर क़िस्म के तसर्रुफ़ कर सकते हैं मुश्तरी को भी मालिक कर सकते हैं और ग़ैर मुश्तरी को भी और दूसरी सूरत में मुश्तरी को मालिक कर देने के अलावा दूसरा तसर्रुफ़ नहीं कर सकते यानी ग़ैर मुश्तरी को उसकी तम्लीक नहीं कर सकते मसलन बाइअ् मुश्तरी से कोई चीज़ उन रूपयों के बदले में ख़रीद सकता है जो मुश्तरी के ज़िम्मे हैं या उसका जानवर या मकान किराये पर ले सकता है और यह भी कर सकता है कि वह रूपये उसे हिबा करदे, सदक़ा करदे और मुश्तरी के अलावा दूसरे से कोई चीज़ ख़रीदे उन रूपयों के बदले में जो उस मुश्तरी पर हैं या दूसरे को हिबा करे, सदक़ा करे यह सहीह नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.13:– समन दो क़िस्म है एक वह कि मुअय्यन करने से मुअय्यन होजाता हो मसलन नाप और तोल की चीज़ें दूसरा वह कि मुअय्यन करने से भी मुअय्यन न हो जैसे रूपये अशर्फ़ी कि बैअ् सहीह में मुअय्यन करने से भी मुअय्यन नहीं होते मसलन कोई चीज़ उस रूपये के बदले में ख़रीदी यानी किसी ख़ास रूपये की तरफ़ इशारा किया तो उसी का देना वाजिब नहीं दूसरा रूपया भी दे सकता है दस रूपये की जगह दस का नोट पन्द्रह रूपये की जगह गिन्नी दे सकता है मुश्तरी को हरगिज़ यह हक़ हासिल नहीं कि कहे रूपये लूँगा नोट अशर्फ़ी नहीं लूँगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.14:– क़ब्ज़ा से पहले समन के अलावा किसी दैन में तसर्रुफ़ करने का वही हुक्म है जो समन का है मसलन महर, क़र्ज़, उजरत, बदले खुलअ्, तावान कि जिसपर उसका मुतालबा है उसको मालिक बना सकते हैं यानी उससे उनके बदले में कोई चीज़ ख़रीद सकते हैं उसको मकान वग़ैरा की उजरत में दे सकते हैं हिबा व सदक़ा कर सकते हैं और दूसरे को मालिक करना चाहें तो नहीं कर सकते। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.15:– बैअे सर्फ़ और सलम में जिस चीज़ पर अक़्द हुआ उसके अलावा दूसरी चीज़ को लेना, देना जाइज़ नहीं और न उसमें किसी दूसरी क़िस्म का तसर्रुफ़ जाइज़, न मुसलम इलैह रासुल'माल में तसर्रुफ़ कर सकता है और न रब्बुस्सलम मुसलम फ़ी में कि वह रूपये के बदले में अशर्फ़ी लेले और यह गेहूँ के बदले में जौ ले यह नाजाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

समन और मबीअ़ में कमी बेशी हो सकती है

मसअ्ला.16:– मुश्तरी ने बाइअ़ के लिये समन में कुछ इज़ाफ़ा कर दिया या बाइअ़ ने मबीअ़ में इज़ाफ़ा करदिया यह जाइज़ है समन या मबीअ़ में इज़ाफ़ा उसी जिन्स से हो या दूसरी जिन्स से उसी मज्लिसे अ़क्द में हो या बाद में हर सूरत में यह इज़ाफ़ा लाज़िम हो जाता है यानी बाद में अगर नदामत हुई कि ऐसा मैंने क्यों किया तो बेकार है वह देना पड़ेगा, अजनबी ने समन में इज़ाफ़ा कर दिया मुश्तरी ने क़बूल कर लिया मुश्तरी पर लाज़िम हो जायेगा और मुश्तरी ने इनकार कर दिया बातिल होगया हाँ अगर अजनबी ने इज़ाफा किया और ख़ुद ज़ामिन भी बनगया या कहा मैं अपने पास से दूँगा तो इज़ाफ़ा सहीह है और यह ज़्यादत अजनबी पर लाज़िम। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– मुश्तरी ने समन में इज़ाफ़ा किया उसके लाज़िम होने के लिये शर्त यह है कि बाइअ़ ने उसी मज्लिस में क़बूल भी कर लिया हो और उस मज्लिस में क़बूल नहीं किया बाद में किया तो लाज़िम नहीं और यह भी शर्त है कि मबीअ़ मौजूद हो मबीअ़ के हलाक होने के बाद समन में इज़ाफ़ा नहीं होसकता मबीअ़ को बेच डाला हो फिर ख़रीद लिया या वापस कर लिया हो जब भी समन में इज़ाफ़ा सहीह है, बकरी मरगई है तो समन में इज़ाफ़ा नहीं हो सकता और ज़िबह करदी गई है तो हो सकता है, मबीअ़ में बाइअ़ ने ज़्यादती की उसमें भी मुश्तरी का उसी मज्लिस में क़बूल करना शर्त है और मबीअ़ का बाक़ी रहना उस में शर्त नहीं मबीअ़ हलाक होचुकी है जब भी उसमें इज़ाफ़ा हो सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.18:– समन में बाइअ़ कमी कर सकता है मस्लन दस रूपये में एक चीज़ बैअ़ की थी मगर ख़ुद बाइअ़ को ख़्यार हुआ कि मुश्तरी पर उसकी गिरानी होगी और समन कम कर दिया यह होसकता है उसके लिये मबीअ़ का बाक़ी रहना शर्त नहीं, यह कमी समन के क़ब्ज़ा करने के बाद भी हो सकती है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.19:– कमी ज़्यादती जो कुछ भी है अगरचे बाद में हुई हो उसको अस्ले अ़क्द में शुमार करेंगे यानी कमी, बेशी के बाद जो कुछ है उसी पर अ़क्द मुतसव्वर होगा। पूरे समन का इस्क़ात नहीं हो सकता यानी मुश्तरी के ज़िम्मे समन कुछ न रहे और बैअ़ क़ायम रहे कि बिला समन बैअ़ क़रार पाये यह नहीं होसकता यह अलबत्ता होगा कि बैअ़ उसी समने अव्वल पर क़रार पायेगी और यह समझा जायेगा कि बाइअ़ ने मुश्तरी से समन मुआफ़ कर दिया उसका नतीजा वहाँ ज़ाहिर होगा कि शफ़ीअ़ ने शुफ़आ किया तो पूरा समन देना होगा। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.20:– कमी बेशी को अस्ले अ़क्द में शुमार करने का असर यह होगा कि (1)मुराबहा व तौलिया में उसी का एअ़्तिबार होगा समने अव्वल का या मबीअ़े अव्वल का एअ़्तिबार न होगा, (2)यूँही अगर समन में ज़्यादती करदी है और मबीअ़ का कोई हक़दार पैदा होगया और मबीअ़ उसने लेली तो मुश्तरी बाइअ़ से पूरा समन वापस लेगा और अगर उसने बैअ़ को जाइज़ कर दिया तो मुश्तरी से पूरा समन लेगा और कमी की सूरत में कुछ बाक़ी है वह लेगा, (3)समन अगर कम कर दिया है तो शफ़ीअ़ को बाक़ी देना होगा मगर समन में इज़ाफ़ा हुआ है तो पहले समन पर शुफ़आ होगा यह जो कुछ ज़्यादा है नहीं देना होगा क्योंकि समन का हक़ समने अव्वल से साबित हो का इन दोनों को उसके मुक़ाबले में इज़ाफ़ा करने का हक़ नहीं, (4)मबीअ़ में इज़ाफ़ा किया है और यह ज़ायद हलाक होगया तो समन में उसका हिस्सा कम होजायेगा (5)यूँही समन में कम व बेश किया है और मबीअ़ कुल या उसका जुज़ हलाक होगया तो उस कम या ज़्यादा का एअ़्तिबार होगा समने अव्वल का एअ़्तिबार न होगा, (6)बाइअ़ को समन वुसूल करने के लिये मबीअ़ के रोकने का तअ़ल्लुक़ समने अव्वल से नहीं बल्कि उससे है यानी मस्लन ज़्यादा करदिया हो तो जब तक मुश्तरी उस ज़्यादती को अदा न करले मबीअ़ को बाइअ़ रोक सकता है, (7)बैअ़े सरिफ़ में कम व बेश का यह असर होगा कि मस्लन चांदी को चांदी से बेचा था और दोनों तरफ़ बराबरी थी फिर

एक ने ज़्यादा या कम करदी दूसरे ने उसे क़बूल करलिया और ज़ायद या कम पर क़ब्ज़ा भी होगया तो अक़्द फ़ासिद होगया। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.21:– समन में अगर अर्ज़ (ग़ैर नुक़ूद) ज़्यादा कर दिया और यह चीज़ क़ब्ज़ा से पहले हलाक होगई तो बक़द्र उसकी क़ीमत के अक़्द फ़स्ख़ हो जायेगा मस्लन सौ रूपये में कोई चीज़ ख़रीदी थी और तक़ाबुज़े बदलैन (दोनों तरफ़ क़ब्ज़ा होना) भी होगया फिर मुश्तरी ने पचास रूपये की कोई चीज़ समन में इज़ाफ़ा करदी और यह चीज़ क़ब्ज़ा से पहले हलाक होगई तो अक़्दे बैअ् एक तिहाई में फ़स्ख़ होजायेगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

दैन की ताजील(वक़्त मुक़र्रर करना)

मसअ्ला.22:– मबीअ् में अगर मुश्तरी कमी करना चाहे और मबीअ् अज क़बीले दैन यानी ग़ैर मुअय्यन हो तो जाइज़ है और मुअय्यन हो तो कमी नहीं हो सकती। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.23:– बाइअ् ने अगर अक़्दे बैअ् के बाद मुश्तरी को अदाये समन के लिये मोहलत दी यानी उसके लिये मीआद मुक़र्रर करदी और मुश्तरी ने भी क़बूल करली तो यह दैन मीआदी हो गया यानी बाइअ् पर वह मीआद लाज़िम होगई उससे क़ब्ल मुतालबा नहीं कर सकता, हर दैन का यही हुक्म है कि मीआदी न हो और बाद में मीआद मुक़र्रर होजाये तो मीआदी होजाता है मगर मदयून को क़बूल करना शर्त है अगर उसने इनकार कर दिया तो मीआदी नहीं होगा फ़ौरन उसका अदा करना वाजिब होगा और दाइन जब चाहेगा मुतालबा कर सकेगा। (दुर्रेमुख़्तार,वग़ैरा)

मसअ्ला.24:– दैन की मीआद कभी मालूम होती है मस्लन फ़ुलां महीने की फ़ुलां तारीख़ और कभी मजहूल मगर जिहालते यसीरा (हल्की) हो तो जाइज़ है मस्लन जब खेत कटेगा, और अगर ज़्यादा जिहालत हो मसलन जब आंधी आयेगी या पानी बरसेगा यह मीआद बातिल है। (हिदाया)

मसअ्ला.25:– दैन की मीआद को शर्त पर मुअल्लक़ भी कर सकते हैं मस्लन एक शख़्स पर हज़ार रूपये हैं उससे दाइन कहता है अगर पाँच सौ रूपये कल अदा करदो तो बाक़ी पाँच सौ के लिये छः माह की मोहलत है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.26:– बाज़ दैन में मीआद मुक़र्रर भी की जाये तो मीआदी नहीं होते (1)क़र्ज़ जिसको दस्तगिरदां कहा जाता है यह मीआदी नहीं हो सकता यानी मुक़रिज़ (क़र्ज़ देने वाले) ने अगर कोई मीआद मुक़र्रर भी करदी हो तो वह मीआद उस पर लाज़िम नहीं जब चाहे मुतालबा कर सकता है, (2)बैअ़े सर्फ़ के बदलैन और (3)बैअ़े सलम का समन जिसको रासुल'माल कहते हैं इन दोनों में मीआद मुक़र्रर करना ना'जाइज़ है उसी मज्लिस में उनपर क़ब्ज़ा करना ज़रूर है, (4)मुश्तरी ने शफ़ी के लिये मीआद मुक़र्रर करदी यह भी सहीह नहीं, (5)एक शख़्स पर दैन था उसकी मीआद मुक़र्रर थी वह क़बले मीआद मरगया और माल छोड़ा या वह दैन ग़ैर मीआदी था उसके मरने के बाद दाइन ने वुरसा को अदाये दैन के लिये मीआद दी यह मीआद सहीह नहीं कि यह दैन उस शख़्स के ज़िम्मे था उसके मरने के बाद दैन का तअल्लुक़ तर्का से है और जब तर्का मौजूद है तो मीआद के क्या माना यहाँ दैन का तअल्लुक़ वुरसा के ज़िम्मे से नहीं कि उनसे वुसूल किया जाये उनको मोहलत दी जाये, (6)इक़ाला में मबीअ् मुश्तरी ने वापस करदी और समन बाइअ् के ज़िम्मे है उसको मुश्तरी ने मोहलत दी यह मीआद भी सहीह नहीं। (दुर्रेमुख़्तार) मीआद सहीह न होने का मतलब यह नहीं कि दाइन को फ़ौरन वुसूल कर लेना वाजिब है वुसूल न करे तो गुनहगार है बल्कि यह कि मदयून को फ़ौरन देना वाजिब है और दाइन का मुतालबा सहीह है और दाइन वुसूल करने में ताख़ीर कर रहा है तो यह उसका एक एहसान व तबर्रोअ् (बख़्शिश) है मगर बैअ् सर्फ़ के बदलैन और सलम के रासुल'माल पर उसी मज्लिस में क़ब्ज़ा करना ज़रूरी है।

मसअ्ला.27:– बाज़ सूरतों में क़र्ज़ के मुतअल्लिक़ भी मीआद सहीह है, (1)क़र्ज़ से क़र्ज़दार मुन्किर था और एक रक़म पर सुलह हुई और उसकी अदायगी के लिये मीआद मुक़र्रर हुई यह मीआद

सहीह है मसलन एक शख़्स पर हज़ार रूपये क़र्ज़ हैं और सौ रूपये पर एक माह की मुद्दत क़रार देकर सुलह हुई हज़ार के सौ मिलें यानी नौ सौ मुआफ़ हैं यह सहीह है मगर मीआद सहीह नहीं यानी फ़िलहाल देना वाजिब है और अगर इस ज़िक्र की गई सूरत में क़र्ज़दार इनकारी हो तो मीआद सहीह है। (2)यूँही क़र्ज़दार ने क़र्ज़ख़्वाह से तनहाई में कहा कि अगर तुम मोहलत न दोगे तो मैं उस क़र्ज़ का इक़रार ही नहीं करूँगा उसने गवाहों के सामने मीआदी दैन का इक़रार किया। (3)क़र्ज़दार ने क़र्ज़ख़्वाह के मुतालबे को किसी दूसरे शख़्स पर हवाला कर दिया और उसको क़र्ज़ख़्वाह ने मोहलत दी तो यह मीआद सहीह है। (4)या ऐसे पर हवाला किया कि खुद क़र्ज़दार का उस पर मीआदी दैन था तो यह क़र्ज़ भी मीआदी होगया। (5)किसी शख़्स ने वसिय्यत की मेरे माल से फुलां को इतना रूपया इतनी मीआद पर क़र्ज़ दिया जाये और सुलुसे माल (तिहाई माल) से क़र्ज़ दिया गया, या यह वसिय्यत की कि फुलां शख़्स पर जो मेरा क़र्ज़ है मेरे मरने के बाद एक साल तक उसको मोहलत है इन सूरतों में क़र्ज़ मीआदी होजायेगा। (दुर्रेमुख़्तार, फ़तहुल क़दीर)

क़र्ज़ का बयान

हदीस (1) सहीह बुख़ारी में अबू बुर्दह बिन अबी मूसा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कहते हैं मैं मदीना में आया और अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु की ख़िदमत में हाज़िर हुआ उन्होंने फ़रमाया तुम ऐसी जगह में रहते हो जहाँ सूद की कस्रत है लिहाज़ा अगर किसी शख़्स के ज़िम्मे तुम्हारा कोई हक़ हो और वह तुम्हें एक बोझ, भूसा या जौ या घास हदये में दे तो हरगिज़ न लेना कि वह सूद है।

हदीस (2) इमाम बुख़ारी तारीख़ में अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया "जब एक शख़्स दूसरे को क़र्ज़ दे तो उसका हदिया क़बूल न करे"।

हदीस (3) इब्ने माजा व बैहक़ी उन्हीं से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया जब कोई क़र्ज़ दे और उसके पास वह हदिया करे तो क़बूल न करे और अपनी सवारी पर सवार करे तो सवार न हो हाँ अगर पहले से इन दोनों में जारी था तो अब हरज नहीं। (हिदाया)

हदीस (4) नसई ने अ़ब्दुल्लाह बिन रबीआ़ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं मुझसे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने क़र्ज़ लिया था जब हुज़ूर के पास माल आया अदा फ़रमादिया और दुआ़ की कि अल्लाह तआ़ला तेरे अहल व माल में बरकत करे और फ़रमाया "क़र्ज़ का बदला शुक्रिया है और अदा कर देना"।

हदीस (5) इमाम अहमद इमरान बिन हुसैन रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया जिसका दूसरे पर हक़ हो और वह अदा करने में ताख़ीर करे तो हर रोज़ उतना माल सदक़ा कर देने का सवाब पायेगा।

हदीस (6) इमाम अहमद सअ़द बिन अतवल रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत करते हैं कहते हैं मेरे भाई का इन्तेक़ाल हुआ और तीन सौ दीनार और छोटे छोटे बच्चे छोड़े मैंने यह इरादा किया कि यह दीनार बच्चों पर सर्फ़ करूँगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने मुझसे फ़रमाया तेरा भाई दैन में मुक़य्यद है उसका दैन अदा करदे मैंने जाकर अदा कर दिया फिर हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर होकर अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह मैंने अदा कर दिया सिर्फ़ एक औ़रत बाक़ी है जो दो दीनार का दावा करती है मगर उसके पास गवाह नहीं हैं फ़रमाया उसे देदे वह सच्ची है।

हदीस (7) इमाम मालिक ने रिवायत की है कि एक शख़्स ने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर के पास आकर अ़र्ज़ की कि मैंने एक शख़्स को क़र्ज़ दिया था और यह शर्त करली है कि जो दिया है उससे बेहतर अदा करना उन्होंने कहा यह सूद है उसने पूछा कि आप मुझे क्या हुक्म देते हैं फ़रमाया क़र्ज़ की तीन सूरतें हैं एक वह क़र्ज़ है जिससे मक़सूद अल्लाह की रज़ा हासिल करना है उसमें तेरे

लिये अल्लाह की रज़ा मिलेगी और एक वह क़र्ज़ है जिससे मक़सूद किसी शख़्स की खुशनूदी है उस क़र्ज़ में सिर्फ़ उसकी खुशनूदी हासिल होगी और एक वह क़र्ज़ है जो तूने इस लिये दिया है कि तय्यिब देकर ख़बीस हासिल करे उस शख़्स ने अर्ज़ की तो अब मुझे क्या हुक्म देते हैं फ़रमाया दस्तावेज़ फाड़ डाल फिर अगर वह क़र्ज़दार वैसा ही अदा करे जैसा तूने उसे दिया है तो क़बूल कर और अगर उससे कम अदा करे और तूने लेलिया तो तुझे सवाब मिलेगा और अगर उसने अपनी खुशी से बेहतर अदा किया तो यह एक शुक्रिया है जो उस ने किया।

मसअला.1:– जो चीज़ क़र्ज़ दी जाये, ली जाये उसका मिस्ली होना ज़रूर है नाप की हो या तोल की हो या गिन्ती की हो मगर गिन्ती की चीज़ में शर्त यह है कि उसके अफ़राद में ज़्यादा तफ़ावुत (फ़र्क़) न हो जैसे अण्डे, अख़रोट, बादाम, और अगर गिन्ती की चीज़ में तफ़ावुत (फ़र्क़) ज़्यादा हो जिसकी वजह से क़ीमत में इख़्तेलाफ़ हो जैसे आम, अमरूद इनको क़र्ज़ नहीं दे सकते यूँही हर क़ीमती चीज़ जैसे जानवर, मकान, ज़मीन इनको क़र्ज़ देना सहीह नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअला.2:– क़र्ज़ का हुक्म यह है कि जो चीज़ लीगई है उसकी मिस्ल अदा की जाये लिहाज़ा जिसकी मिस्ल नहीं क़र्ज़ देना सहीह नहीं, जिस चीज़ को क़र्ज़ लेना, देना जाइज़ नहीं अगर उसको किसी ने क़र्ज़ लिया उस पर क़ब्ज़ा करने से मालिक होजायेगा मगर उससे नफ़ा उठाना हलाल नहीं मगर उसको बैअ् करेगा तो बैअ् सहीह होजायेगी उसका हुक्म वैसा ही है जैसे बैअ़े फ़ासिद में मबीअ् पर क़ब्ज़ा कर लिया कि वापस करना ज़रूरी है मगर बैअ् कर देगा तो बैअ् सहीह है(आलमगीरी)

मसअला.3:– काग़ज़ को क़र्ज़ लेना जाइज़ है जबकि उसकी नौईयत(वरायटी)व सिफ़त का बयान होजाये और उसको गिन्ती के साथ लिया जाये और गिनकर दिया जाये(दुर्रेमुख़्तार)मगर आज कल थोड़े से काग़ज़ों में ख़रीद व फ़रोख़्त व क़र्ज़ में गिनकर लेते देते हैं ज़्यादा मिक़दार यानी रिमों में वज़न का एअ्तिबार होता है यानी मस्लन इतने पोन्ड का रिम उर्फ़ में तख़्ते नहीं गिन्ते इसमें हरज नहीं।

मसअला.4:– रोटियों को गिनकर भी क़र्ज़ ले सकते हैं और तोलकर भी, गोश्त वज़न करके क़र्ज़ लिया जाये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.5:– आटे को नापकर क़र्ज़ लेना देना चाहिये और अगर उर्फ़ वज़न से क़र्ज़ लेने का हो जैसा कि उमूमन हिन्दुस्तान में है तो वज़न से भी क़र्ज़ जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअला.6:– ईंधन की लकड़ी और दूसरी लकड़ियाँ और उपले और तख़्ते और तरकारियाँ और ताज़ा फल इन सब का क़र्ज़ लेना देना दुरूस्त नहीं। (आलमगीरी)

मसअला.7:– कच्ची और पक्की ईंटों का क़र्ज़ जाइज़ है जबकि इन में तफ़ावुत (फ़र्क़) न हो जिस तरह आज कल शहर भर में एक तरह की ईंटे तैयार होती हैं। (आलमगीरी)

मसअला.8:– बर्फ़ को वज़न के साथ क़र्ज़ लेना दुरुस्त है और अगर गर्मियों में बर्फ़ क़र्ज़ लिया था और जाड़े में अदा कर दिया यह हो सकता है मगर क़र्ज़ देने वाला उस वक़्त नहीं लेना चाहता वह कहता है गर्मियों में लूँगा और यह अभी देना चाहता है तो मुआमला क़ाज़ी के पास पेश करना होगा वह वुसूल करने पर मजबूर करेगा। (आलमगीरी)

मसअला.9:– पैसे क़र्ज़ लिये थे उनका चलन जाता रहा तो वैसे ही पैसे उसी तादाद में देने से क़र्ज़ अदा न होगा बल्कि उनकी क़ीमत का एअ्तिबार है मस्लन आठ आने के पैसे थे तो चलन बन्द होने के बाद अठन्नी या दूसरा सिक्का उस क़ीमत का देना होगा। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअला.10:– अदा–ए–क़र्ज़ में चीज़ के सस्ते महंगे होने का एअ्तिबार नहीं मसलन दस सेर गेहूँ क़र्ज़ लिये थे उनकी क़ीमत एक रूपये थी और अदा करने के दिन एक रूपये से कम या ज़्यादा है उसका बिलकुल लिहाज़ नहीं किया जायेगा वही दस सेर गेहूँ देने होंगे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.11:– एक शहर में मस्लन ग़ल्ला क़र्ज़ लिया और दूसरे शहर में क़र्ज़ख़्वाह ने मुतालबा किया तो जहाँ क़र्ज़ लिया था वहाँ जो क़ीमत थी वह देदी जाये क़र्ज़दार उस पर मजबूर नहीं कर

सकता कि मैं यहाँ नहीं दूँगा वहाँ चलकर वह चीज़ लेलो, एक शहर में ग़ल्ला क़र्ज़ लिया दूसरे शहर में जहाँ ग़ल्ला गिरां है क़र्ज़ख़्वाह उससे ग़ल्ला का मुतालबा करता है क़र्ज़दार से कहा जायेगा कि इस बात का ज़ामिन देदो कि अपने शहर में जाकर ग़ल्ला अदा करूँगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– मेवे क़र्ज़ लिये थे मगर अभी अदा नहीं किये कि यह मेवे ख़त्म हो चुके बाज़ार में मिलते नहीं क़र्ज़ख़्वाह को इन्तेज़ार करना पड़ेगा कि नये फल आजायें उस वक़्त क़र्ज़ अदा किया जाये और अगर दोनों क़ीमत देने पर राज़ी होजायें तो क़ीमत अदा करदी जाये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.13:– क़र्ज़दार ने क़र्ज पर क़ब्ज़ा कर लिया उस चीज़ का मालिक होगया फ़र्ज़ करो एक चीज़ क़र्ज ली थी और अभी ख़र्च नहीं की है कि अपनी चीज़ आगई मस्लन रूपये क़र्ज़ लिया था और रूपया आगया या आटा क़र्ज़ लिया था पकने से पहले आटा पिसकर आगया अब क़र्ज़दार को यह इख़्तेयार है कि उसकी चीज़ रहने दे और अपनी चीज़ से क़र्ज़ अदा करे या उसकी ही चीज़ देदे जिसने क़र्ज़ दिया है वह नहीं कह सकता कि मैंने जो चीज़ दी थी वह तुम्हारे पास मौजूद है मैं वही लूँगा। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– क़र्ज़ की चीज़ क़र्ज़दार के पास मौजूद है क़र्ज़दार उसको खुद क़र्ज़ख़्वाह के हाथ बैअ् करे यह सहीह है कि वह मालिक है और क़र्ज़ख़्वाह बैअ् करे यह सहीह नहीं कि यह मालिक नहीं, एक शख़्स ने दूसरे से ग़ल्ला क़र्ज़ लिया क़र्ज़दार ने क़र्ज़ख़्वाह से रूपये के बदले उसको ख़रीद लिया यानी उस दैन को ख़रीदा जो उसके ज़िम्मे है मगर क़र्ज़ख़्वाह ने रूपये पर अभी क़ब्ज़ा नहीं किया था कि दोनों जुदा होगये बैअ् बातिल हो गई। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.15:– गुलाम, ताजिर और मुकातब और ना'बालिग़ और बोहरा यह सब किसी को क़र्ज़ दें यह ना'जाइज़ है कि क़र्ज़ तबर्रोअ् है और यह तबर्रोअ् नहीं कर सकते। (आलमगीर)

मसअ्ला.16:– सबी महजूर (जिसको खरीद व फरोख्त की मुमानअत है) को क़र्ज़ दिया या उसके हाथ कोई चीज़ बैअ् की उसने ख़र्च कर डाली तो उसका मुआवज़ा कुछ नहीं बोहरे और मजनून को क़र्ज़ देने का भी यही हुक्म है और अगर वह चीज़ मौजूद है ख़र्च नहीं हुई है तो क़र्ज़ख़्वाह वापस ले सकता है गुलाम महजूर को क़र्ज़ दिया है तो जब तक आज़ाद न हो उससे मुआख़ज़ा नहीं हो सकता। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.17:– एक शख़्स से दूसरे ने रूपये क़र्ज़ मांगें वह देने को लाया उसने कहा पानी में फेंक दो उसने फेंक दिया तो उसका कुछ नुक़सान नहीं उसने अपना माल फेंका और अगर बाइअ् मबीअ् को मुश्तरी के पास लाया या अमीन अमानत को मालिक के पास लाया उन्होंने कहा फेंक दो उन्होंने फेंक दिया तो मुश्तरी और मालिक का नुक़सान हुआ। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.18:– क़र्ज़ में किसी शर्त का कोई असर नहीं शर्तें बेकार हैं मस्लन यह शर्त कि उसके बदले में फुलां चीज़ देना या यह शर्त कि फुलां जगह (यानी किसी दूसरी जगह का नाम लेकर) वापस करना। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.19:– वापसी क़र्ज़ में उस चीज़ की मिस्ल देनी होगी जो ली है न उससे बेहतर न कमतर हाँ अगर बेहतर अदा करता है और उसकी शर्त न थी तो जाइज़ है दाइन उसको ले सकता है यूँही जितना लिया है अदा के वक़्त उससे ज़्यादा देता है मगर उसकी शर्त न थी यह भी जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.20:– चन्द शख़्सों ने एक शख़्स से क़र्ज़ मांगा और अपने में से एक शख़्स के लिये कह गये कि उसको दे देना क़र्ज़ख़्वाह उस शख़्स से उतना ही मुतालबा कर सकता है जितना उसका हिस्सा है बाक़ियों के हिस्से के वह खुद ज़िम्मेदार हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.21:– क़र्ज़ दिया और ठहरा लिया कि जितना दिया है उससे ज़्यादा लेगा जैसा कि आजकल खुद सूद ख़्वारों का क़ायदा है कि रूपया दो रूपये सैकड़ा माहवार सूद ठहरा लेते हैं यह हराम है यूँही किसी क़िस्म के नफ़ा की शर्त करे ना'जाइज़ है मसलन यह शर्त कि मुस्तक़रिज़

मकरूज से कोई चीज ज़्यादा दामों में ख़रीदेगा या यह कि क़र्ज़ के रूपये फ़ुलां शहर में मुझको देने होंगे। (आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.22:– जिस पर कर्ज़ है उसने क़र्ज़ देने वाले को कुछ हदिया किया तो लेने में हरज नहीं जबकि हदिया देना कर्ज़ की वजह से न हो बल्कि इस वजह से हो कि दोनों में क़राबत या दोस्ती है उसकी आदत ही में जूदो सख़ावत है कि लोगों को हदिया किया करता है और अगर क़र्ज़ की वजह से हदिया देता है तो उसके लेने से बचना चाहिये और अगर यह पता न चले कि क़र्ज़ की वजह से है या नहीं जब भी परहेज़गारी करना चाहिये जब तक यह बात ज़ाहिर न होजाये कि क़र्ज़ की वजह से नहीं है. उसकी दावत का भी यह हुक्म है कि क़र्ज़ की वजह से न हो तो क़बूल करने में हरज नहीं और क़र्ज़ की वजह से है या पता न चले तो बचना चाहिये उसको यूँ समझना चाहिये था कि क़र्ज़ नहीं दिया था जब भी दावत करता था तो मालूम हुआ कि यह दावत क़र्ज़ की वजह से नहीं और अगर पहले नहीं करता था और अब करता है या पहले महीने में एक बार करता था और अब दो बार करने लगा या अब सामाने ज़ियाफ़त ज़्यादा करता है तो मालूम हुआ कि यह क़र्ज़ की वजह से है उससे इज्तिनाब (बचना) चाहिये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.23:– जिस क़िस्म का दैन था मदयून उससे बेहतर अदा करना चाहता है दाइन को उसके क़बूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते और घटिया देना चाहता है जब भी मजबूर नहीं कर सकते और दाइन क़बूल करले तो दोनों सूरतों में दैन अदा होजायेगा यूँही अगर उसके रूपये थे वह उसी क़ीमत की अशर्फ़ी देना चाहता है दाइन क़बूल करने पर मजबूर नहीं। कह सकता है मैंने रूपया दिया था रूपया लूँगा और अगर दैन मीआदी था मीआद पूरी होने से पहले अदा करता है तो दाइन लेने पर मजबूर किया जायेगा वह इनकार करे यह उसके पास रखकर चला आये दैन अदा हो जायेगा। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला.24:– क़र्ज़दार क़र्ज़ अदा नहीं करता अगर क़र्ज़ख़्वाह को उसकी कोई चीज़ उसी जिन्स की जो क़र्ज़ में दी है मिल जाये तो बिग़ैर दिये ले सकता है बल्कि ज़ब्रदस्ती छीन ले जब भी क़र्ज़ अदा होजायेगा दूसरी जिन्स की चीज़ बिग़ैर उसकी इजाजत नहीं ले सकता मसलन रूपया क़र्ज़ दिया था तो रूपया या चांदी की कोई चीज़ मिले ले सकता है और अशर्फ़ी या सोने की चीज़ नहीं ले सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.25:– ज़ैद ने अम्र से कहा मुझे इतने रूपये क़र्ज़ दो अपनी यह ज़मीन तुम्हें आरियत देता हूँ जब तक मैं रूपया अदा करूँ तुम उसकी काश्त करो और नफ़अ् उठाओ यह ममनूअ् है (आलमगीरी) आज कल सूद ख़ोरों का आम तरीक़ा यह है कि क़र्ज़ देकर मकान या खेत रेहन रख लेते हैं मकान है तो उसमें मुरतहिन सुकूनत करता है या उसको किराये पर चलाता है खेत है तो उसकी ख़ुद काश्त करता है या इजारा पर दे देता है और नफ़ा ख़ुद खाता है यह सूद है उससे बचना वाजिब।

मसअ्ला.26:– नसरानी ने नसरानी को शराब क़र्ज़ दी फिर मुसलमान होगया क़र्ज़ साक़ित होगया उससे मुतालबा नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.27:– ज़ैद ने अम्र से कहा फ़ुलां शख़्स से मेरे लिये दस रूपये क़र्ज़ लादो उसने क़र्ज़ लाकर देदिये मगर ज़ैद कहता है मुझे नहीं दिये तो अम्र को अपने पास से देने होंगे, और अगर ज़ैद ने अम्र को रुक़्क़ा इस मज़मून का लिखकर किसी के पास भेजा कि मेरे रूपये जो तुम पर क़र्ज़ हैं भेज दो उसने अम्र के हाथ भेज दिये तो जब तक यह रूपये ज़ैद को वुसूल न हों उस वक़्त तक ज़ैद के नहीं हैं यानी क़र्ज़ अदा न होगा और अगर ज़ैद ने अम्र की मारिफ़त किसी के पास कहला भेजा कि दस रूपये मुझे क़र्ज़ भेजदो उसने अम्र के हाथ भेज दिये तो ज़ैद के होगये ज़ाइअ् होंगे तो ज़ैद के ज़ाइअ् होंगे जबकि ज़ैद उसका मुक़िर हो कि अम्र को उसने दिये थे। (ख़ानिया)

मसअ्ला.28:– ज़ैद ने अम्र को किसी के पास भेजा कि उससे हज़ार रूपये क़र्ज़ मांग लाये उसने क़र्ज़

दिया मगर अम्र के पास से जाता रहा अगर अम्र ने उससे यह कहा था कि ज़ैद को क़र्ज़ दो तो ज़ैद का नुक़सान हुआ और यह कहा था कि ज़ैद के लिये मुझे क़र्ज़ दो तो अम्र का नुक़सान हुआ। (आलमगीरी)

मसअ्ला.29:– जिस चीज़ का क़र्ज़ जाइज़ है उसे आ़रियत के तौर पर लिया तो वह क़र्ज़ है और जिसका क़र्ज़ ना'जाइज़ है उसे आ़रियत लिया तो आ़रियत है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.30:– रूपये क़र्ज़ लिये थे उसको नोट या अशरफ़ियाँ दीं कि तुड़ाकर अपने रूपये लेलो उसके पास तुड़ाने से पहले ज़ाइअ् (बर्बाद) होगये तो क़र्ज़दार के ज़ाइअ् हुए और तुड़ाने के बाद ज़ाइअ् हुए तो दो सूरतें हैं अपना क़र्ज़ लिया था या नहीं अगर नहीं लिया था जब भी क़र्ज़दार का नुक़सान हुआ और क़र्ज़ के रूपये उनमें से लेने के बाद ज़ाइअ् हुए तो उसके हलाक हुए और अगर नोट या अशरफ़ियाँ देकर यह कहा कि अपना क़र्ज़ लो उसने लेलिया तो क़र्ज़ अदा होगया ज़ाइअ् होगा उसका नुक़सान होगा। (आलमगीरी)

तंगदस्त को मोहलत देने या मुआ़फ़ करने की फ़ज़ीलत और दैन न अदा करने की मज़म्मत

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है

﴿وان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة ط وان تصدقوا خيرلكم ان كنتم تعلمون ۰﴾

"और अगर मदयून तंगदस्त है तो वुस्अ़त आने तक उसे मोहलत दो और सदक़ा कर दो(मुआफ़ करदो)तो यह तुम्हारे लिये बेहतर है अगर तुम जानते हो"

हदीस् (1) सहीहैन में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया "एक शख़्स ज़माना–ए–गुज़श्ता में लोगों को उधार दिया करता था वह अपने ग़ुलाम से कहा करता जब किसी तंगदस्त मदयून के पास जाना उसको मुआ़फ़ कर देना इस उम्मीद पर कि ख़ुदा हमको मुआ़फ़ करदे जब उसका इन्तेक़ाल हुआ अल्लाह तआ़ला ने उसे मुआ़फ़ फ़रमादिया"।

हदीस् (2) सहीह मुस्लिम में अबू क़तादा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया "जिसको यह बात पसन्द हो कि क़ियामत की सख़्तियों से अल्लाह तआ़ला उसे निजात बख़्शे वह तंगदस्त को मोहलत दे या मुआ़फ़ करदे"।

हदीस् (3) सहीह मुस्लिम में है अबुलयसीर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु कहते हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम को फ़रमाते हुए सुना कि "जो शख़्स तंगदस्त को मोहलत देगा या उसे मुआ़फ़ कर देगा अल्लाह तआ़ला उसको अपने साया में रखेगा"।

हदीस् (4) सहीहैन में क़ाब बिन मालिक रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने इब्ने अबी हदरद रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से अपने दैन का तक़ाज़ा किया और दोनों की आवाज़ें बलन्द होगईं हुज़ूर ने अपने हुजरे से उनकी आवाज़ें सुनीं तशरीफ़ लाये और हुजरे का पर्दा हटाकर मस्जिदे नबवी में क़ाब रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु को पुकारा उन्होंने जवाब दिया लब्बैक या रसूलल्लाह, हुज़ूर ने हाथ से इशारा किया कि आधा दैन मुआ़फ़ करदो उन्होंने कहा मैंने किया यानी मुआ़फ़ कर दिया, दूसरे साहब से फ़रमाया उठो अदा करदो।

हदीस् (5) सहीह बुख़ारी में सलमा बिन रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी कहते हैं हम हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर थे एक जनाज़ा लाया गया लोगों ने अ़र्ज़ की उसकी नमाज़ पढ़ाईये फ़रमाया उस पर कुछ दैन है अ़र्ज़ की नहीं, उसकी नमाज़ पढ़ादी फिर दूसरा जनाज़ा आया इरशाद फ़रमाया उस पर दैन है अ़र्ज़ की हाँ फ़रमाया कुछ उसने माल छोड़ा है लोगों ने अ़र्ज़ की तीन दीनार छोड़े हैं उसकी नमाज़ भी पढ़ादी, फिर तीसरा जनाज़ा हाज़िर लाया गया इरशाद फ़रमाया इस पर कुछ दैन है लोगों ने अ़र्ज़ की तीन दीनार का मदयून है इरशाद फ़रमाया उसने कुछ छोड़ा है लोगों ने कहा नहीं, फ़रमाया तुम लोग उसकी नमाज़ पढ़लो, अबूक़तादा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह हुज़ूर नमाज़ पढ़ादें दैन का अदा कर देना मेरे ज़िम्मे है, हुज़ूर ने नमाज़ पढ़ादी।

हदीस् (6) शरहे सुन्ना में अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुजूर की ख़िदमत में जनाज़ा लाया गया इरशाद फ़रमाया इस पर दैन है लोगों ने कहा हाँ, फ़रमाया दैन अदा करने के लिये कुछ छोड़ा है अर्ज़ की नहीं, इरशाद फ़रमाया तुम लोग इसकी नमाज़ पढ़लो हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की इसका दैन मेरे ज़िम्मे है हुजूर ने नमाज़ पढ़ादी और एक रिवायत में है कि अल्लाह तआला तुम्हारे बन्दिश को तोड़े जिस तरह तुमने अपने मुसलमान भाई की बन्दिश तोड़ी, जो बन्दा मुस्लिम अपने भाई का दैन अदा करेगा अल्लाह तआला क़ियामत के दिन उसकी बन्दिश तोड़ देगा।

हदीस् (7) सहीह बुख़ारी में अबुहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स लोगों के माल लेता है और अदा करने का इरादा रखता है अल्लाह तआला उसे अदा कर देगा (यानी अदा करने की तौफ़ीक़ देगा या क़ियामत के दिन दाइन को राज़ी कर देगा) और जो शख़्स तल्फ़ करने के इरादे से लेता है अल्लाह तआला उस पर तल्फ़ कर देगा। (यानी न अदा की तौफ़ीक़ होगी न दाइन राज़ी होगा)

हदीस् (8) सहीह मुस्लिम में अबू क़तादा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं एक शख़्स ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह यह फ़रमाईये कि अगर मैं जिहाद में इस तरह क़त्ल किया जाऊँ कि साबिर हूँ, सवाब का तालिब हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, पीठ न फेरूँ तो अल्लाह तआला मेरे गुनाह मिटा देगा इरशाद फरमाया हाँ, जब वह शख़्स चला गया उसे बुलाकर फरमाया हाँ मगर दैन, जिबरईल अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही कहा, यानी दैन मुआफ़ नहीं होगा।

हदीस् (9) सहीह मुस्लिम में अब्दुल्ला बिन अम्र रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि दैन (क़र्ज़) के अलावा शहीद के तमाम गुनाह बख़्श दिये जायेंगे।

हदीस् (10) इमाम शाफ़ेई व अहमद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व दारमी अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "मोमिन का नफ़्स दैन की वजह से मुअल्लक़ है जब तक अदा न किया जाये"।

हदीस् (11) शरहे सुन्ना में बर्रा बिन आज़िब रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया साहिबे दैन अपने दैन में मुक़य्यद है क़ियामत के दिन खुदा से अपनी तनहाई की शिकायत करेगा।

हदीस् (12) तिर्मिज़ी व इब्ने माजा सोबान रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "जो इस तरह मरा कि तकब्बुर और ग़नीमत में ख़्यानत और दैन से बरी है वह जन्नत में दाख़िल होगा"।

हदीस् (13) इमाम अहमद व अबू दाऊद, अबू मुसा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि "कबीरा गुनाह जिन से अल्लाह ने मुमानअत फ़रमाई है उनके बाद अल्लाह के नज़्दीक सब गुनाहों से बड़ा यह है कि आदमी अपने ऊपर दैन छोड़कर मरे और उसके अदा के लिये कुछ न छोड़ा हो"।

हदीस् (14) इमाम अहमद ने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन जहश रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं हम सेहने मस्जिद में बैठे हुए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम भी तशरीफ़ फ़रमा थे हुजूर ने अपनी निगाह आसमान की तरफ़ उठाई और देखते रहे फिर निगाह नीचे करली और पेशानी पर हाथ रखकर फ़रमाया सुब्हानल्लाह, सुब्हानल्लाह कितनी सख़्ती उतारी गई कहते हैं हम लोग एक दिन एक रात ख़ामोश रहे जब दिन रात ख़ैर से गुज़र गये और सुबह हुई तो मैंने अर्ज़ की वह क्या सख़्ती है जो नाज़िल हुई इरशाद फ़रमाया कि दैन के मुतअल्लिक़ है क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम

की जान है अगर कोई शख़्स अल्लाह की राह में क़त्ल किया जाये फिर ज़िन्दा हो फिर क़त्ल किया जाये फिर ज़िन्दा हो फिर क़त्ल किया जाये फिर ज़िन्दा हो और उस पर दैन हो तो जन्नत में दाख़िल न होगा जब तक अदा न कर दिया जाये।

हदीस (15) अबू दाऊद व नसई शरीद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया "मालदार का दैन अदा करने में ताख़ीर करना उसकी आबरू और सज़ा को हलाल कर देता है" अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने उसकी तफ़सीर में फ़रमाया कि आबरू को हलाल करना यह है कि उस पर सख़्ती की जाये और सज़ा को हलाल करना यह है कि क़ैद किया जाये।

सूद का ब्यान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

﴿الذين ياكلون الربوا ولا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ط ذالك بانهم قالوا انما البيع وحرم الربوا ط فمن جاء ه موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف ط وامره الى الله ومن عاد فالئك اصحب النار ج هم فيها خلدون ۰ يمحق الله الربوا ويربى الصدقت ط والله لايحب كل كفار اثيم ۰﴾

"जो लोग सूद खाते हैं वह (अपनी क़ब्रों से) ऐसे उठेंगे जिस तरह वह शख़्स उठता है जिसको शैतान (आसेब) ने छूकर बावला (पागल) कर दिया है, यह इस वजह से है कि उन्होंने कहा बैअ़ मिस्ले सूद के है और है यह कि अल्लाह ने बैअ़ को हलाल किया है और सूद को हराम। पस जिसको खुदा की तरफ़ से नसीहत पहुँचगई और बाज़ आया तो जो कुछ पहले कर चुका है उसके लिये मुआफ़ है और उसका मुआ़मला अल्लाह के सिपुर्द है और जो फिर ऐसा ही करें वह जहन्नमी हैं वह उसमें हमेशा रहेंगे अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है और नाशुकरे गुनहगार को अल्लाह दोस्त नहीं रखता"

और फ़रमाता है :–

﴿يايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربوا ان كنتم مؤمنين ۰ فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ج وان تبتم لكم رء وس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ۰﴾

"ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और जो कुछ तुम्हारा सूद बाक़ी रहगया है छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो, और अगर तुमने ऐसा न किया तो तुमको अल्लाह व रसूल की तरफ़ से लड़ाई का ऐलान है और अगर तुम तौबा करलो तो तुम्हें तुम्हारा अस्ल माल मिलेगा न दूसरों पर तुम ज़ुल्म करो और न दूसरा तुम पर ज़ूल्म करे"।

और अल्लाह फ़रमाता है:–

﴿يايها الذين امنوا لاتاكلوا الربوا اضعافا مضعفة ص واتقوا الله لعلكم تفلحون ۰ واتقوا النار التى اعدت للكفرين ۰ واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ۰﴾

"ऐ ईमान वालों व नादानों सूद मत खाओ और अल्लाह से डरो ताकि फ़लाह पाओ और उस आग से बचो जो काफ़िर के लिये तैयार रखी है और अल्लाह व रसूल की ताअ़त करो ताकि तुम पर रहम किया जाये"।

और फ़रमाता है :–

﴿وماتيتم من ربا ليربوا فى اموال الناس فلا يربوا عندالله ج وما اتيتم من زكوة تريدون وجه الله فالئك هم المضعفون ۰﴾

"जो कुछ तुमने सूद पर दिया कि लोगों के माल में बढ़ता रहे वह अल्लाह के नज़्दीक नहीं बढ़ता और जो कुछ तुमने ज़कात दी है जिससे अल्लाह की खुशनूदी चाहते हो वह अपना माल दूना करने वाले हैं"।

अहादीस सूद की मज़म्मत में बकस्रत वारिद हैं उनमें से बाज़ इन मक़ाम में ज़िक्र की जाती हैं।

हदीस (1) इमाम बुख़ारी अपनी सहीह में सुमरह बिन जुनदुब रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी हूज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया "आज रात मैंने देखा कि मेरे पास दो शख़्स आये और मुझे ज़मीने मुक़द्दस (बैतुल मक़दिस) में लेगये फिर हम चले यहाँ तक कि ख़ून के दरिया पर पहुँचे यहाँ एक शख़्स किनारे पर खड़ा है जिसके सामने पत्थर पड़े हुए हैं और एक शख़्स बीच दरया में है यह किनारे की तरफ़ बढ़ा और निकलना चाहता था कि किनारे वाले शख़्स ने एक पत्थर ऐसे ज़ोर से उसके मुँह पर मारा कि जहाँ था वहीं पहुँचा दिया फिर वह जितनी बार निकलना चाहता है किनारे वाला मुँह पर पत्थर मार कर वहीं लौटा देता है मैंने अपने साथियों से

पूछा यह कौन शख़्स है कहा यह शख़्स जो नहर में है सूद ख़ोर है"।

हदीस (2) सहीह मुस्लिम शरीफ़ में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने सूद लेने वाले और सूद देने वाले और सूद का कागज़ लिखने वाले और उसके गवाहों पर लानत फरमाई और यह फ़रमाया कि वह सब बराबर हैं।

हदीस (3) इमाम अहमद व अबू दाऊद व नसई व इब्ने माजा अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुजूर ने फ़रमाया "लोगों पर एक ज़माना ऐसा आयेगा कि सूद खाने से कोई नहीं बचेगा और अगर सूद न खायेगा तो उसके बुख़ारात पहुँचेंगे" (यानी सूद देगा या उसकी गवाही करेगा या दस्तावेज़ लिखेगा या सूदी रूपये किसी को दिलाने की कोशिश करेगा या सूद ख़ोर के यहाँ दावत खायेगा या उसका हदिया कबूल करेगा)।

हदीस (4) इमाम अहमद व दारे कुतनी अब्दुल्लाह बिन हन्ज़ला ग़सीलुल'मलाइका रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "सूद का एक दिरहम जिसको जानकर कोई खाये वह छत्तीस मरतबा ज़िना से सख़्त है"। उसी की मिस्ल बैहकी ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की।

हदीस (5) इब्ने माजा व बैहकी अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "सूद (का गुनाह) सत्तर हिस्सा है उन में सबसे कम दर्जा यह है कि कोई शख़्स अपनी माँ से ज़िना करे"।

हदीस (6) इमाम अहमद व इब्ने माजा व बैहकी अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "(सूद से बज़ाहिर) अगरचे माल ज़्यादा हो मगर नतीजा यह है कि माल कम होगा"।

हदीस (7) इमाम अहमद व इब्ने माजा अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया शबे मेराज मेरा गुज़र एक कौम पर हुआ जिसके पेट घड़े की तरह (बड़े-बड़े) हैं उन पेटों में सांप है जो बाहर से दिखाई देते हैं मैंने पूछा ऐ जिबरईल यह कौन लोग हैं उन्होंने कहा यह सूद खोर हैं।

हदीस (8) सहीह मुस्लिम शरीफ में उबादा बिन सामित रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया सोना बदले में सोने के और चांदी बदले में चांदी के और गेहूँ बदले में गेहूँ के और जौ बदले में जौ के और खजूर बदले में खजूर के और नमक बदले में नमक के बराबर बराबर दस्त ब'दस्त बैअ़ करो और जब असनाफ़ (जिन्स) में इख़्तिलाफ़ हो तो जैसे चाहो बेचो (कम व बेश में इख़्तेयार है) जब कि दस्त ब'दस्त हों और उसी की मिस्ल अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी इस में इतना ज़्यादा है कि जिसने ज़्यादा दिया या ज़्यादा लिया उसने सूदी मुआमला किया लेने वाला और देने वाला दोनों बराबर हैं और सहीहैन में हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से भी इसी के मिस्ल मरवी।

हदीस (9) सहीहैन में उसामा बिन ज़ैद रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "उधार में सूद है" और एक रिवायत में है कि दस्त ब'दस्त हो तो सूद नहीं यानी जबकि जिन्स मुख़्तलिफ़ हो।

हदीस (10) इब्ने माजा व दारमी अमीरुल मोमेनीन उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाया सूद को छोड़ो और जिसमें सूद का शुबह हो उसे भी छोड़ो।

मसाइले फ़िक़हिय्या

रिबा यानी सूद हरामे कतई है उसकी हुरमत का मुनकिर काफ़िर है और हराम समझकर जो उसका मुरतकिब है फ़ासिक मरदूदुश्शहादहत है। अक़्दे मुआवज़ा में जब दोनों तरफ़ माल हो और एक तरफ़ ज़्यादती हो कि उसके मकाबिल में दूसरी तरफ़ कुछ न हो यह सूद है।

मसअ्ला.1:– जो चीज़ नाप या तोल से बिकती हो जब उसको अपनी जिन्स से बदला जाये मसलन गेहूँ के बदले में गेहूँ, जौ के बदले में जौ लिये और एक तरफ़ ज़्यादा हो हराम है और अगर

वह चीज़ नाप या तोल की न हो या एक जिन्स को दूसरी जिन्स से बदला हो तो सूद नहीं उमदा और ख़राब का यहाँ कोई फ़र्क़ नहीं यानी तबादला जिन्स (चीज़ का बदलना) में एक तरफ़ कम है मगर वह अच्छी है दूसरी तरफ़ ज़्यादा है वह ख़राब है जब भी सूद और हराम है लाज़िम है कि दोनों नाप या तोल में बराबर हों। जिस चीज़ पर सूद की हुरमत का दार व मदार है वह क़द्र व जिन्स है, क़द्र से मुराद वज़न या नाप है।

मसअला.2:– दोनों चीज़ों का एक नाम और एक काम हो तो एक जिन्स समझिये और नाम और मक़सद में इख़्तेलाफ़ हो तो दो जिन्स जानिये जैसे गेहूँ, जौ, कपड़े की क़िस्में मलमल, लट्ठा, गबरून, छींट, यह सब अजनास मुख़्तलिफ़ हैं खजूर की सब किस्में एक जिन्स हैं। लोहा, सीसा, ताम्बा, पीतल मुख़्तलिफ़ जिन्सें हैं। ऊन और रेशम और सूत मुख़्तलिफ़ अजनास हैं। गाय का गोश्त भेंड और बकरी का गोश्त, दुम्बा की चक्की, पेट की चर्बी यह सब अजनासे मुख़्तलिफ़ा हैं। रोग़न गुल, रोग़न चम्बेली रोग़न जूही वग़ैरा सब मुख़्तलिफ़ अजनास हैं। (रद्दुलमुहतार)

मसअला.3:– क़द्र व जिन्स दोनों मौजूद हों तो कमी बेशी भी हराम है (उसको रिबलफ़ज़्ल कहते हैं) और एक तरफ़ नक़द हो दुसरी तरफ़ उधार यह भी हराम (इसको रिबन्निसया कहते हैं) मसलन गेहूँ को गेहूँ, जौ को जौ के बदले में बैअ़ करें तो कम व बेश हराम और एक अब देता है दूसरा कुछ देर के बाद देगा यह भी हराम और दोनों में से एक हो एक न हो तो कमी बेशी जाइज़ है और उधार हराम मसलन गेहूँ को जौ के बदले में या एक तरफ़ सीसा हो एक तरफ़ लोहा कि पहली मिसाल में नाप और दूसरी में वज़न मुश्तरक है मगर जिन्स का दोनों में इख़्तेलाफ़ है, कपड़े को कपड़े के बदले में, ग़ुलाम को ग़ुलाम के बदले में बैअ़ किया इस में जिन्स एक है मगर क़द्र मौजूद नहीं लिहाज़ा यह तो हो सकता है कि एक थान देकर दो थान या एक गुलाम के बदले में दो ग़ुलाम ख़रीद ले मगर उधार बेचना हराम और सूद है अगरचे कमी बेशी न हो और दोनों न हों तो कमी बेशी भी जाइज़ और उधार भी जाइज़ मसलन गेहूँ और जौ को रूपये से ख़रीदें यहाँ कम व बेश होना तो ज़ाहिर है कि एक रूपये के एवज़ में जितने मन चाहो ख़रीदो कोई हरज नहीं और उधार भी जाइज़ है कि आज ख़रीदो रूपये महीने में, साल में दूसरे की मर्ज़ी से जब चाहो दो जाइज़ है कोई ख़राबी नहीं। (हिदाया,वग़ैरा)

मसअला.4:– जिस चीज़ के मुतअ़ल्लिक़ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि व सल्लम ने नाप के साथ (इज़ाफ़ा) तफ़ाज़ुल हराम फ़रमाया, वह कैली (नाप की चीज़) है और जिसके मुतअ़ल्लिक़ वज़न की तसरीह फ़रमाई वह वज़नी है हुज़ूर के इरशाद के बाद उसमें तब्दीली नहीं हो सकती अगर उ़र्फ़ इसके ख़िलाफ़ हो तो उ़र्फ़ का एअ़तिबार नहीं और जिसके मुतअ़ल्लिक़ हुज़ूर का इरशाद नहीं है उसमें आ़दत व उ़र्फ़ का एअ़तिबार है नाप या तोल जो कुछ चलन हो उसका लिहाज़ होगा। (हिदाया वग़ैरा)

मसअला.5:– तलवार के बदले में अगर लोहे की बनी हुई कोई चीज़ ख़रीदी तो जाइज़ है अगरचे एक तरफ़ वज़न कम है दूसरी तरफ़ ज़्यादा कि क़द्र में इत्तेहाद नहीं मगर उसको देकर लोहे की चीज़ उधार लेना दुरुस्त नहीं। (रद्दुलमोहतार)

मसअला.6:– जो बर्तन अ़दद से बिकते हैं अगरचे जिसके बर्तन बने हैं वह वज़नी हों जैसे ताम्बे के कटोरे, ग्लास एक के बदले में दूसरा ख़रीदना दुरुस्त है अगरचे दोनों के वज़न मुख्तलिफ हों कि अब वज़नी नहीं मगर सोने चांदी के बरतन अगर बाहम वज़न में मुख़्तलिफ़ हों तो बैअ़ हराम है अगरचे यह अ़दद से फ़रोख़्त होते हों। (रद्दुलमुहतार)

मसअला.7:– मनसूसात के मवाक़ेअ़ पर उ़र्फ़ का एअ़तिबार नहीं यह उस वक़्त है जब कि तबादला जिन्स के साथ हो मसलन गेहूँ को गेहूँ से बैअ़ करें और ग़ैर जिन्स से बदलने में इख़्तेयार है मसलन गेहूँ का जौ के बदले में या रूपये पैसे नोट से ख़रीदने में अगर वज़न के साथ बैअ़ हो हरज नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.8:– जो चीज़ वज़नी हो उसे नापकर बराबर करके एक को दूसरे के बदले में बैअ़ किया

मगर यह नहीं मालूम कि उनका वज़न क्या है यह जाइज़ नहीं और अगर वज़न में दोनों बराबर हों बैअ् जाइज़ है अगरचे नाप में कम व बेश हों और जो चीज़ कैली है उसको वज़न से बराबर करके बैअ् किया मगर यह नहीं मालूम कि नाप में बराबर है या नहीं यह ना'जाइज़ है। हिन्दुस्तान में गेहूँ जौ को उ़मूमन वज़न से बैअ् करते हैं हालांकि उनका कैली होना हुजूर के इरशाद से साबित लिहाज़ा अगर गेहूँ को गेहूँ के बदले में बैअ् करें तो नापकर ज़रूर बराबर करलें इस में वज़न की बराबरी का एअ्तिबार न करें, यूँही गेहूँ, जौ, क़र्ज़ लें तो नापकर लें और नापकर दें, और उनके आटे की बैअ् या क़र्ज़ वज़न से भी जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार, हिदाया, फ़तहुल'क़दीर)

मसअ्ला.9:– यतीम के माल की बैअ् हो तो उसमें जूदत (ख़ूबी) का एअ्तिबार है मस्लन वसी को यतीम के अच्छे माल की रद्दी के बदले में बेचना ना'जाइज़ है यूँही वक़्फ़ के अच्छे माल को मुतवल्ली ने ख़राब के बदले में बेच दिया यह ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– सोने चांदी के इलावा जो चीज़ें वज़न के साथ बिकती हैं रूपये अशर्फ़ी से उसकी बैअ् सलम दुरुस्त है अगरचे वज़न का दोनों में इश्तिराक है। (फ़तहुल'क़दीर वग़ैरा)

मसअ्ला.11:– शरीअ़त में नाप की मिक़दार कम से कम निस्फ़ साअ् है अगर कोई कैली चीज़ निस्फ़ साअ् से कम हो मस्लन एक दो लप उस में कमी बेशी यानी एक लप दो लप के बदले में बेचना जाइज़ है यूँही एक सेब दो सेब के बदले में एक खजूर, दो के बदले में एक अण्डा, दो अण्डे के एवज़ एक अखरोट, दो के एवज़ एक तलवार, दो तलवार के बदले एक दवात, दो दवात के बदले में एक सुई, दो के बदले में एक शीशी दो के एवज़ में बेचना जाइज़ है जबकि यह सब मुअ़य्यन हों और अगर दोनों जानिब या एक ग़ैर मुअ़य्यन हो तो बैअ् ना'जाइज़ इन ज़िक्र की गई सूरतों में कमी बेशी अगरचे जाइज़ है मगर उधार बेचना हराम है क्योंकि जिन्स एक है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– गेहूँ, जौ, खजूर, नमक जिन का कैली होना मन्सूस है अगर उनके मुतअ़ल्लिक़ लोगों की आ़दत यूँ जारी हो कि उनको वज़न से ख़रीद व फ़रोख़्त करते हों जैसा कि यहाँ हिन्दुस्तान में वज़न ही से यह सब चीज़ें बिकती है और बैअ़े सलम में वज़न से इनका ताईन किया मस्लन इतने रूपये के इतने मन गेहूँ यह सलम जाइज़ है इस में हरज नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.13:– गोश्त को जानवर के बदले में बैअ् कर सकते हैं क्योंकि गोश्त वज़नी है और जानवर अ़ददी है वह गोश्त उसी जिन्स के जानवर का हो मसलन बकरी के गोश्ता के ऐवज़ में बकरी ख़रीदी या दूसरी जिन्स का हो मसलन बकरी के गोश्त के बदले में गाय ख़रीदी, यह गोश्त उतना ही हो जितना उस जानवर में है या उससे कम या ज़्यादा बहर हाल जाइज़ है, ज़िबह की हुई बकरी को ज़िन्दा बकरी या ज़िबह की हुई के एवज़ में बैअ् करना ना'जाइज़ है और अगर दोनों की खालें उतारली हैं और ओझड़ी वग़ैरा सारी अन्दुरूनी चीज़ें अलग करदी हैं बल्कि पाये भी जुदा कर लिये हैं तो अब एक को दूसरी के एवज़ में तोल के साथ बेच सकते हैं कि यह गोश्त को गोश्त से बेचना है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.14:– एक मछली दो मछलियों से बैअ् कर सकते हैं यानी वहाँ जहाँ वज़न से न बिकती हों और तोल से फ़रोख़्त हों जैसे यहाँ तो वज़न में बराबर करना ज़रूर होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– सूती कपड़े सूत या रूई के बदले में बेचना मुतलक़न जाइज़ है कि उनकी जिन्स मुख़्तलिफ़ है यूँही रूई को सूत से बेचना भी जाइज़ है इसी तरह ऊन के बदले में ऊनी कपड़े ख़रीदना या रेशम के एवज़ में रेशमी कपड़े ख़रीदना भी जाइज़ है, मक़सद यह है कि जिन्स के इख़्तिलाफ़ व इत्तिहाद में अस्ल का इत्तिहाद व इख़्तिलाफ़ मोअ्तबर नहीं बल्कि मक़सूद का इख़्तिलाफ़ जिन्स को मुख़्तलिफ़ कर देता है अगरचे अस्ल एक हो और यह बात ज़ाहिर है कि रूई और सूत और कपड़े के मक़ासिद मुख़्तलिफ़ हैं। यूँही गेहूँ या उसके आटे को रोटी से बैअ् कर सकते हैं कि इन की भी जिन्स मुख़्तलिफ़ है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.16:– तर खजूर को तर या खुश्क खजूर के बदले में बैअ् करना जाइज़ है जबकि दोनों जानिब की खजूरें नाप में बराबर हों, वजन में बराबरी का इरा में एअ्तिबार नहीं यूँही अंगूर को मुनक्के या किशमिश के बदले में बेचना जाइज है जबकि दोनों बराबर हों। इसी तरह जो फल खुश्क हो जाते हैं उनके तर को खुश्क के एवज़ में बेचना जाइज़ है और तर के बदले में भी जैसे इन्जीर, आलूबुखारा, खुबानी वगैरा। (हिदाया, फतहुल कदीर)

मसअ्ला.17:– गेहूँ अगर पानी में भीग गये हों उनको खुश्क के बदले में बैअ् करना जाइज़ है जब कि नाप में बराबर हों यूँही खजूर या मुनक्के जिनको पानी में भिगो लिया है खुश्क के एवज़ में बैअ् कर सकते हैं, भुने हुए गेहूँ को बे भुने से बेचना जाइज़ नहीं। (हिदाया, दुर्रेमुख्तार वगैरा)

मसअ्ला.18:– मुख्तलिफ किस्म के गोश्त कमी बेशी के साथ बैअ् किये जा सकते हैं मस्लन बकरी का गोश्त एक सेर गाय के दो सेर से बेच सकते हैं मगर यह ज़रूर है कि दस्त ब'दस्त हों उधार जाइज़ नहीं अगर इस किस्म के जानवर का गोश्त हो तो कमी बेशी जाइज़ नहीं, गाय और भैंस दो जिन्स नहीं बल्कि एक जिन्स हैं यूँही बकरी, भेड़, दुम्बा, यह तीनों एक जिन्स हैं गाय का दूध बकरी के दूध से खजूर या गन्ने का सिर्का अंगूरी सिर्का से, पेट की चर्बी दुम्बा की चक्की या गोश्त से बकरी के बाल को भेंड़ की ऊन से कम व बेश करके बैअ् कर सकते हैं। (हिदाया)

मसअ्ला.19:– परिन्द अगरचे एक किस्म के हों उनके गोश्त कम व बेश करके बैअ् किये जा सकते हैं मस्लन एक बटेर के गोश्त को दो के गोश्त के साथ यूँही मुर्गी व मुर्गाबी के गोश्त भी कि वज़न के साथ नहीं बिकते। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.20:– तिल के तेल को रोगन चम्बेली व रोगन गुल से कम व बेश करके बैअ् करना जाइज़ है यूँही यह खुश्बूदार तेल आपस में एक किस्म के दूसरे किस्म के साथ बैअ् करना, रोगने जैतून खुश्बूदार को बिगैर खुश्बू वाले के एवज़ में बेचना भी हर तरह जाइज़ है। तेल फूल में बसे हुए हों उनको सादा तेलों से कम व बेश करके बेच सकते हैं। (दुर्रेमुख्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.21:– दूध को पनीर के बदले में कमी बेशी के साथ बेच सकते हैं (दुर्रेमुख्तार) खोये के बदले में दूध बेचने का भी यही हुक्म है क्योंकि मकासिद में मुख्तलिफ होने की वजह से मुख्तलिफ जिन्स हैं।

मसअ्ला.22:– गेहूँ की बैअ् आटे या सत्तू से या आटे की बैअ् सत्तू से मुतलकन ना'जाइज़ है अगरचे नाप या तोल में दोनों बराबर हों यानी जबकि आटा या सत्तू गेहूँ का हो और अगर दूसरी चीज का हो मस्लन जौ का आटा या सत्तू हो तो गेहूँ से बैअ् करने में कोई मुज़ायका नहीं यूँही गेहूँ के आटे को जौ के सत्तू से भी बेचना जाइज है, आटे को आटे के बदले में बराबर करके बेचना जाइज़ है बल्कि भूने हुए आटे को भूने हुए के बदले में बराबर करके बेचना भी जाइज़ है और सत्तू को सत्तू के बदले में बेचना या भुने हुए गेहूँ को भुने हुए गेहूँ के बदले में बेचना जाइज़ है, छने हुए आटे को बिगैर छने के बदले बैअ् करने में दोनों का बराबर होना ज़रूरी है। (दुर्रेमुख्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.23:– तिलों को उनके तेल के बदले में या ज़ैतून को रोगने ज़ैतून के बदले में बेचना उस वक़्त जाइज़ है कि उनमें जितना तेल है वह उस तेल से ज़्यादा हो जिसके बदले में उसको बैअ् कर रहे हैं यानी खली के मुकाबले में तेल का कुछ हिस्सा होना ज़रूर है वरना ना'जाइज़ यूँही सरसों को कड़वे तेल के बदले में या अलसी को उसके तेल के बदले में बैअ् करने का हुक्म है गर्ज यह कि जिस खली की कोई कीमत होती है उसके तेल को जब उससे बैअ् किया जाये तो जो तेल मकाबिल में है वह उससे ज्यादा हो जो उस में है। (हिदाया, दुर्रेमुख्तार, रद्दुलमुहतार) और अगर कोई ऐसी चीज़ उसमें मिली हो जिसकी कोई कीमत न हो जैसे सुनार के यहाँ की राख कि उसे नियारिये खरीदते हैं उसका हुक्म यह है कि जिस सोने या चांदी के एवज़ में उसे खरीदा अगर वह ज्यादा या कम हैं बैअे फासिद है और बराबर हो तो जाइज़ और मालूम न हो कि बराबर है या नहीं जब भी ना'जाइज़। (बहर,वगैरा)

मसअ्ला.24:– जिन चीज़ों में बैअ् जाइज़ होने के लिये बराबरी की शर्त है यह ज़रूर है कि

मुसावात का इल्म वक़्ते अ़क्द हो अगर बवक़्ते अ़क्द इल्म न था बा'द को मा'लूम हुआ मसलन गेहूँ गेहूँ के बदले में तख़्मीना से बेच दिये फिर बा'द में नापे गये तो बराबर निकले बैअ़ जाइज़ नहीं हुई (आलमगीरी)

मसअला.25:– गेहूँ, गेहूँ के बदले में बैअ़ किये और तक़ाबुज़े बदलैन नहीं हुआ यह जाइज़ है ग़ल्ला की बैअ़ अपनी जिन्स या ग़ैरे जिन्स से हो उस में तक़ाबुज़ शर्त नहीं। (आलमगीरी) मगर यह उसी वक़्त है कि दोनों जानिब मुअ़य्यन हों।

मसअला.26:– आक़ा और गुलाम के माबैन सूद नहीं होता अगरचे मुदब्बर या उम्मे वलद हो कि यहाँ हक़ीक़तन बैअ़ ही नहीं हाँ अगर गुलाम पर इतना दैन हो जो उसके माल और ज़ात को मुस्तग़रक़ हो तो अब सूद हो सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.27:– दो शख़्सों में शिरकते मुफ़ावज़ा है अगर वह बाहम बैअ़ करें तो कमी बेशी की सूरत में सूद नहीं हो सकता और शिरकते अ़नान वालों ने बाहम माले शिरकत को ख़रीद व फ़रोख़्त किया तो सूद नहीं और अगर दोनों अपने माल को कम व बेश करके ख़रीद व फ़रोख़्त करें या एक ने अपने माल को माले शिरकत से कम व बेश करके फ़रोख़्त किया तो ज़रूर सूद है। (आलमगीरी)

मसअला.28:– मुस्लिम और काफ़िरे हरबी के माबैन दारुल हरब में जो अ़क्द हुआ उसमें सूद नहीं मुसलमान अगर दारुल हरब में अमान लेकर गया तो काफ़िरों की ख़ुशी से जिस क़द्र उनके अमवाल हासिल करे जाइज़ है अगरचे ऐसे तरीक़े से हासिल किये कि मुसलमान का माल इस तरह लेना जाइज़ न हो मगर यह ज़रूर है कि वह किसी बद अ़हदी के ज़रीआ़ हासिल न किया गया हो कि बद अ़हदी कुफ़्फ़ार के साथ भी हराम है मस्लन किसी काफ़िर ने उसके पास कोई चीज़ अमानत रखी और यह देना नहीं चाहता यह बद अ़हदी है और दुरुस्त नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअला.29:– अ़क्दे फ़ासिद के ज़रिये से काफ़िरे हरबी का माल हासिल करना ममनूअ़ नहीं या'नी जो अ़क्द माबैन दो मुसलमान ममनूअ़ है अगर हरबी के साथ किया जाये तो मना नहीं मगर शर्त यह है कि वह अ़क्द मुस्लिम के लिये मुफ़ीद हो मसलन एक रूपया के बदले में दो रूपया ख़रीदे या उसके हाथ मुर्दार को बेच डाला कि इस तरीक़े से मुसलमान का रूपया हासिल करना शरा के ख़िलाफ़ और हराम है और काफ़िर से हासिल करना जाइज़ है। (रद्दुल'मुहतार)

मसअला.30:– हिन्दुस्तान अगरचे दारुल इस्लाम है उसको दारुल हरब कहना सहीह नहीं मगर यहाँ के कुफ़्फ़ार यक़ीनन न ज़िम्मी हैं न मुस्तामिन क्योंकि ज़िम्मी या मुस्तामिन के लिये बादशाहे इस्लाम का ज़िम्मा करना और अमन देना ज़रूरी है लिहाज़ा उन कुफ़्फ़ार के अमवाल उक़ूदे फ़ासिदा के ज़रिये हासिल किये जा सकते हैं जब कि बद अ़हदी न हो।

सूद से बचने की सूरतें

शरीअ़ते मुतहहरा ने जिस तरह सूद लेना हराम फ़रमाया सूद देना भी हराम किया है। हदीसों में दोनों पर ला'नत फ़रमाई है और फ़रमाया कि दोनों बराबर हैं, आज कल सूद की इतनी कसरत है कि क़र्ज़े हसन जो बिग़ैर सूदी होता है बहुत कम पाया जाता है दौलत वाले किसी को बिग़ैर नफ़ा रूपया देना चाहता नहीं और अहले हाजत अपनी हाजत के सामने उसका लिहाज़ भी नहीं करते कि सूदी रूपये लेने में आख़िरत का कितना अ़ज़ीम वबाल है उससे बचने की कोशिश की जाये। लड़की लड़के की शादी, ख़तना और दीगर तक़रीबात शादी व ग़मी में अपनी वुस्अ़त से ज़्यादा ख़र्च करना चाहते हैं। बिरादरी और ख़ानदान के रुसूम में इतने जकड़े हुए हैं कि हर चन्द कहिये एक नहीं सुनते रुसूम में कमी करने को अपनी ज़िल्लत समझते हैं। हम अपने मुसलमान भाईयों को अव्वलन तो यही नसीहत करते हैं कि इन रुसूम की जन्जाल से निकलें चादर से ज़्यादा पाँव न फैलायें और दुनिया व आख़िरत की तबाहकुन नताइज से डरें। थोड़ी देर की मसर्रत या अबनाये जिन्स में नाम आवरी का ख़्याल करके आइन्दा जिन्दगी को तल्ख़ न करें। अगर यह लोग अपनी हट से बाज़ न आयें क़र्ज़ का बारे गिरां अपने सर ही रखना चाहते हैं बचने की सई नहीं करते जैसा कि मुशाहिदा

इसी पर शाहिद है तो अब हमारी दूसरी फहमाइश उन मुसलमानों को यह है कि सूदी क़र्ज़ के क़रीब न जायें, कि ब'नस्से क़तई क़ुर्आनी इस में बरकत नहीं और मुशाहिदात व तजरबात भी यही हैं कि बड़ी–बड़ी जायदादें सूद में तबाह हो चुकीं हैं यह सवाल उस वक़्त पेशे नज़र हैं कि जब सूदी क़र्ज़ न लिया जाये तो बिग़ैर सूदी क़र्ज़ कौन देगा फिर उन दुश्वारियों को किस तरह हल किया जाये, इसके लिये हमारे उलमा ने चन्द सूरतें ऐसी तहरीर फ़रमाई हैं कि उन तरीक़ों पर अमल किया जाये तो सूद की नजासत व नूहूसत से पनाह मिलती है और क़र्ज़ देने वाला जिस ना'जाइज़ नफा का ख़्वाहिश मन्द था उसके लिये जाइज़ तरीका पर नफ़ा हासिल हो सकता है। सिर्फ़ लेन देन की सूरत में कुछ तरमीम करनी पड़ेगी। मगर ना'जाइज़ व हराम से बचाव हो जायेगा। शायद किसी को यह ख़्याल हो कि दिल में जब यह है कि सौ देकर एक सौ दस लिये जायें, फिर सूद से क्योंकर बचे हम उसके लिये यह वाजेह करना चाहते हैं कि शरअ् मुतह्हरह ने जिस अक़्द को जाइज़ बताया वह महज़ इस तख़ईल (ख़्याल) से ना'जाइज व हराम नहीं हो सकता। देखो अगर रूपये से चांदी ख़रीदी और एक रूपये की एक रूपया भर से जायद ली यह यक़ीनन सूद व हराम है साफ़ हदीस में तसरीह है।

﴿الفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد و الفضل ربا﴾

"और अगर मसलन एक गिन्नी जो पन्द्रह रूपये की हो उससे पचीस रूपये भर या और ज्यादा चांदी ख़रीदी या सोलह आने पैसों की दो रूपये भर ख़रीदी अगरचे उसका मक़सद भी वही है कि चांदी ज़्यादा ली जाये मगर सूद नहीं और यह सूरत यक़ीनन हलाल है"

हदीसे सहीह में फ़रमाया, ﴿اذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم﴾ मालूम हुआ कि जवाज़ व अदमे जवाज़ नोईयते अक़्द पर है, अक़्द बदल जायेगा हुक्म बदल जायेगा। इस मसला को ज़्यादा वाज़ेह करने के लिये हम दो हदीसें ज़िक्र करते हैं, सहीहैन में अबू सईद ख़ुदरी व अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने एक शख़्स को ख़ैबर का हाकिम बनाकर भेजा था वह वहाँ से हुज़ूर की ख़िदमत में उमदा खजूरें लाये इरशाद फ़रमाया क्या ख़ैबर की सब खजूरें ऐसी ही होती हैं अर्ज की नहीं या रसूलल्लाह, हम दो साअ् के बदले में इन खजूरों का एक साअ् लेते हैं और तीन साअ् के बदले में दो साअ् लेते हैं फ़रमाया ऐसा न करो मामूली खजूरों को रूपये से बेचो फिर रूपया से इस क़िस्म की खजूरें ख़रीदा करो। और तोल की चीज़ों में भी ऐसा ही फ़रमाया सहीहैन में अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी बिलाल रदियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में बरनी खजूरें लाये इरशाद फ़रमाया कहाँ से लाये अर्ज़ की हमारे यहाँ ख़राब खजूरें थीं उनके दो साअ् को एक साअ् के एवज़ में बेच डाला इरशाद फ़रमाया "अफ़सोस यह तो बिलकुल सूद है यह तो बिलकुल सूद है ऐसा न करना हाँ अगर उनको ख़रीदने का इरादा हो तो अपनी खजूरें बेचकर फिर उनको ख़रीदो"। इन दोनों हदीसों से वाज़ेह हुआ कि बात वही है कि उमदा खजूरें ख़रीदना चाहते हैं मगर अपनी खजूरें ज़्यादा देकर लेते हैं सूद होता है, और अपनी खजूरें रूपये से बेचकर अच्छी खजूरें ख़रीदें यह जाइज़ है। इसी वजह से इमाम क़ाज़ी ख़ान अपने फ़तावे में सूद से बचने की सूरतें लिखते हैं यह तहरीर फ़रमाते हैं, ومثل هذا روى عن رسول الله ﷺ انه امر بذلك इस मुख़्तसर तम्हीद के बाद अब वह सूरतें बयान करते हैं जो उलमा ने सूद से बचने की बयान की हैं।

मसअला.1:– एक शख़्स के दूसरे पर दस रूपये थे उसने मदयून से कोई चीज़ उन दस रूपयों में ख़रीदली और मबीअ् पर क़ब्ज़ा भी कर लिया फिर उसी चीज़ को मदयून के हाथ बारह में समन वुसूल करने की एक मीआद मुक़र्रर करके बेच डाला अब उसके उस पर दस की जगह बारह हो गये और उसे दो रूपयों का नफ़ा हुआ और सूद न हुआ। (ख़ानिया)

मसअला.2:– एक ने दूसरे से क़र्ज़ तलब किया वह नहीं देता अपनी कोई चीज़ मुक़रिज़ के हाथ

सौ रूपये में बेच डाली उसने सौ रूपये देदिये और चीज़ पर क़ब्ज़ा कर लिया फिर मुस्तक़रिज़ ने वही चीज़ मुक़रिज़ से साल भर के वादे पर एक सौ दस रूपये में ख़रीदली यह बैअ़ जाइज़ है मुक़रिज़ ने सौ रूपये दिये और एक सौ दस रूपये मुस्तक़रिज़ के ज़िम्मे लाज़िम होगये और अगर मुस्तक़रिज़ के पास कोई चीज़ न हो जिसको इस तरह बैअ़ करे तो मुक़रिज़ मुस्तक़रिज़ के हाथ अपनी कोई चीज़ एक सौ दस रूपये में बैअ़ करे और क़ब्ज़ा देदे फिर मुस्तक़रिज़ उसके ग़ैर के हाथ सौ रूपये में बेचे और क़ब्ज़ा देदे फिर उस शख़्स अजनबी से मुक़रिज़ सौ रूपये में ख़रीदले और समन अदा करदे;और वह मुस्तक़रिज़ को सौ रूपये समन अदा करदे नतीजा यह हुआ कि मुक़रिज़ की चीज़ उसके पास आगई और मुस्तक़रिज़ को सौ रूपये मिलगये मगर मुक़रिज़ के उसके ज़िम्मे एक सौ दस रूपये लाज़िम रहे। (ख़ानिया)

मसअ्ला.3:– मुक़रिज़ ने अपनी कोई चीज़ मुस्तक़रिज़ के हाथ तेरह रूपये में छः महीने के वादा पर बैअ़ की और क़ब्ज़ा देदिया फिर मुस्तक़रिज़ ने उसी चीज़ को अजनबी के हाथ बेचा और उस बैअ़ का इक़ाला करके फिर उसी मुक़रिज़ के हाथ दस रूपये में बेचा और रूपये ले लिये उसका भी यही नतीजा हुआ कि मुक़रिज़ की चीज़ वापस आगई और मुस्तक़रिज़ को दस रूपये मिलगये मगर मुक़रिज़ के उसके ज़िम्मे तेरह रूपये वाजिब हुये। (ख़ानिया)

बैअ़ ऐना

मसअ्ला.4:– सूद से बचने की एक सूरत बैअ़े ऐना है इमाम मुहम्मद रहिमहुल्लाहु तआला ने फ़रमाया बैअ़े ऐना मकरूह है क्योंकि क़र्ज़ की ख़ूबी और हुसने सुलूक से महज़ नफ़ा की ख़ातिर बचना चाहता है और इमाम अबू यूसुफ़ रहिमहुल्लाहु तआला ने फ़रमाया कि अच्छी नियत हो तो इस में हरज नहीं बल्कि बैअ़ करने वाला मुस्तहिक्के सवाब है क्योंकि वह सूद से बचना चाहता है मशाइख़े बल्ख़ ने फ़रमाया बैअ़े ऐना हमारे ज़माना की अकस्र बैओं से बेहतर है बैअ़े ऐना की सूरत यह है कि एक शख़्स ने दूसरे से मसलन दस रूपये क़र्ज़ मांगे उसने कहा मैं क़र्ज़ नहीं दूँगा यह अल'बत्ता कर सकता हूँ कि यह चीज़ तुम्हारे हाथ बारह रूपये में बेचता हूँ अगर तुम चाहो ख़रीद लो उसे बाज़ार में दस रूपये को बैअ़ कर देना तुम्हें दस रूपये मिल जायेंगे और काम चल जायेगा और इसी सूरत में बैअ़ हुई, बाइअ़ ने ज़्यादा नफ़ा हासिल करने और सूद से बचने का यह हीला निकाला कि दस की चीज़ बारह में बैअ़ करदी उसका काम चल गया और ख़ातिर ख़्वाह उसको नफ़ा मिलगया, बाज़ लोगों ने उसका यह तरीक़ा बताया है कि तीसरे शख़्स को अपनी बैअ़ में शामिल करें यानी मुक़रिज़ ने क़र्ज़दार के हाथ उसको बारह में बेचा और क़ब्ज़ा देदिया फिर क़र्ज़दार ने सालिस के हाथ दस रूपये में बेचकर क़ब्ज़ा देदिया उसने मुक़रिज़ के हाथ दस रूपये में बेचा और क़ब्ज़ा देदिया और दस रूपये समन के मुक़रिज़ से वुसूल करके क़र्ज़दार को देदिये नतीजा यह हुआ कि क़र्ज़ मांगने वाले को दस रूपये वुसूल होगये मगर बारह देने पड़ेंगे क्योंकि वह चीज़ बारह में ख़रीदी है। (ख़ानिया, फ़तह, रद्दुलमुहतार)

हुक़ूक़ का बयान

मसअ्ला.1:– दो मन्ज़िला मकान है उसमें नीचे की मन्ज़िल ख़रीदी बाला ख़ाना अ़क्द में दाख़िल न होगा मगर जबकि तमाम हुक़ूक़ या जमीअ़े मुराफ़िक़ (वह हुक़ूक़ जो बैअ़ में जिमनन दाख़िल हेते हैं) या हर क़लील व कसीर के साथ ख़रीदा हो। (हिदाया वग़ैरा)

मसअ्ला.2:– मकान की ख़रीदारी में पाख़ाना अगरचे मकान से बाहर बना हो और कुआं और उसके सेहन में जो दरख़्त हों वह और पाईन बाग़ सब बैअ़ में दाख़िल हैं इन चीज़ों की बैअ़नामा में सराहत करने की ज़रूरत नहीं, मकान से बाहर उससे मिला हुआ बाग़ हो और छोटा हो तो बैअ़ में दाख़िल है और मकान से बड़ा या बराबर का हो तो दाख़िल नहीं जब तक ख़ास उसका भी नाम बैअ़ में न लिया जाये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.3:– मकान से मुत्तसिल बाहर की जानिब कभी टीन वग़ैरा का छप्पर डाल लेते हैं जो नशिश्त के लिये होता है अगर हुकूक़ व मुराफ़िक़ के साथ बैअ़ हुई है तो दाख़िल है वरना नहीं(हिदाया)

मसअला.4:– ख़ास़ रास्ता और पानी बहने की नाली और खेत में पानी आने की नाली और वह घाट जिससे पानी आयेगा यह सब चीज़ें बैअ़ में उस वक़्त दाख़िल होंगीं जबकि हुकूक़ या मुराफ़िक़ या हर क़लील व कसीर का ज़िक्र हो। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअला.5:– मकान का पहले एक रास्ता था उसको बन्द करके दूसरा रास्ता जारी किया गया उसकी ख़रीदारी में पहला रास्ता दाख़िल नहीं होगा अगरचे हुकूक़ या मराफ़िक़ का लफ़्ज़ कहा हो क्योंकि अब वह उसके हुकूक़ में दाख़िल ही नहीं दुसरा रास्ता अल'बत्ता दाख़िल है। (रद्दुलमुहतार)

मसअला.6:– एक मकान खरीदा जिसका रास्ता दुसरे मकान में होकर जाता है दूसरे मकान वाले मुश्तरी को आने से रोकते हैं इस सूरत में अगर बाइअ़ ने कह दिया कि इस मबीअ़ का रास्ता दूसरे मकान में से नहीं है तो मुश्तरी को रास्ता हासिल करने का कोई हक़ नहीं अलबत्ता यह एक ऐब होगा जिसकी वजह से वापस कर सकता है, अगर उसकी दिवारों पर दूसरे मकान की कड़ियाँ रखी हैं और वह दूसरा मकान बाइअ़ का है तो हुक्म दिया जायेगा अपनी कड़ियाँ उठाले और किसी दूसरे का है तो यह मकान का एक ऐब है मुश्तरी को वापस करने का हक़ हासिल होगा। (रद्दुलमुहतार)

मसअला.7:– एक शख़्स के दो मकान हैं एक की छत का पानी दूसरे की छत पर से गुज़रता है दूसरे मकान को जमीअ़ हुकूक़ के साथ बैअ़ किया उसके बाद पहले मकान को किसी दूसरे के हाथ बैअ़ किया तो पहला मुश्तरी अपनी छत पर पानी बहाने से दूसरे को रोक सकता है और अगर एक शख़्स के दो बाग़ थे एक का रास्ता दूसरे में होकर था दूसरा बाग़ उसने अपनी लड़की के हाथ बैअ़ किया और यह शर्त रही कि हक़्क़े मरूर (रास्ते पर चलने का हक़) उसको हासिल रहेगा फिर लड़की ने अपना बाग़ किसी अजनबी के हाथ बैअ़ किया तो यह अजनबी उसके बाप को बाग़ में गुजरने से रोक नहीं सकता। (रद्दुल'मुहतार)

मसअला.8:– मकान या खेत किराये पर लिया तो रास्ता और नाली और घाट इजारा में दाख़िल है यानी अगरचे हुकूक़ व मुराफ़िक़ न कहा हो जब भी इन चीज़ों पर तसर्रुफ़ कर सकता है वक़्फ़ व रेहन इजारा के हुक्म में हैं। (हिदाया, फ़तह)

मसअला.9:– किसी के लिये इक़रार किया कि यह मकान उसका है या मकान की वसिय्यत की या उस पर मुसालहत हुई यह सब बैअ़ के हुक्म में है कि बिग़ैर ज़िक्र हुकूक़ व मुराफ़िक़ रास्ता वग़ैरह दाख़िल न होंगे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.10:– दो शख़्स एक मकान में शरीक थे बाहम तक़सीम हुई एक के हिस्से का रास्ता या नाली दूसरे के हिस्से में है अगर ब'वक़्ते तक़सीम हुकूक़ का ज़िक्र था जब तो कोई हर्ज नहीं और ज़िक्र न था तो दूसरे को रास्ता वग़ैरा नहीं मिलेगा फिर अगर वह अपने हिस्से में नया रास्ता और नाली वग़ैरह निकाल सकता है तो निकाल ले और तक़सीम सहीह है वरना तक़सीम ग़लत हुई तोड़ दी जाये जबकि तक़सीम के वक़्त रास्ता वग़ैरा का ख़्याल किया ही न गया हो। (रद्दुलमुहतार)

इस्तेहक़ाक़ का बयान

कभी ऐसा होता है कि ब'ज़ाहिर कोई चीज़ एक शख़्स की मालूम होती है और वाक़ेई में दूसरे की होती है यानी दूसरा शख़्स उसका मुद्दई होता है और अपनी मिल्क साबित कर देता है उसको इस्तेहक़ाक़ कहते हैं।

मसअला.1:– इस्तेहक़ाक़ दो क़िस्म है एक यह कि दूसरे की मिल्क को बिल्कुल बातिल करदे उसको मुब्तिल कहते हैं दूसरा यह कि मिल्क को एक से दूसरे की तरफ़ मुन्तक़िल करदे उसको नाक़िल कहते हैं मुब्तिल की मिसाल हुर्रिय्यते असलिय्या का दावा यानी यह गुलाम था ही नहीं या इत्क़ का दावा मुदब्बर या मुकातब होने का दावा। नाक़िल की मिसाल यह है कि ज़ैद ने बकर पर

दावा किया कि यह चीज़ तुम्हारे पास है तुम्हारी नहीं मेरी है। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.2:– इस्तेहक़ाक़ की दूसरी क़िस्म का हुक्म यह है कि अगर वह चीज़ किसी अ़क्द के ज़रीये से मुद्दाअ़लैह (क़ाबिज़) को हासिल हुई है तो महज़ मिल्क साबित कर देने से अ़क्द फ़स्ख़ नहीं होगा क्योंकि वह चीज़ ज़रूर क़ाबिले अ़क्द है यानी मुद्दई की चीज़ है जिसको दूसरे ने मुद्दाअ़लैह के हाथ मसलन फ़रोख़्त कर दिया यह बैअ़ फ़ुज़ूली ठहरी जो मुद्दई की इजाज़त पर मौक़ूफ़ है(दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.3:– मुस्तहिक़ के मुवाफ़िक़ क़ाज़ी ने फ़ैसला सादिर कर दिया उससे बैअ़ फ़स्ख़ नहीं हुई हो सकता है कि मुस्तहिक़ मुश्तरी से वह चीज़ न ले समन वुसूल करले या बैअ़ को फ़स्ख़ करदे और यह भी हो सकता है कि ख़ुद मुश्तरी वह चीज़ बाइअ़ को वापस करदे और समन फेरले अब बैअ़ फ़स्ख़ होगई या मुश्तरी ने क़ाज़ी को दरख़्वास्त दी कि बाइअ़ पर वापसी समन का हुक्म सादिर करे उसने हुक्म देदिया या यह दोनों ख़ुद अपनी रज़ा'मन्दी से अ़क्द को फ़स्ख़ करें। (फ़तहुल'क़दीर)
मसअ्ला.4:– क़ाज़ी ने यह फ़ैसला किया कि यह चीज़ मुस्तहिक़(मुद्दई)की है यह फ़ैसला ज़ूलयद (मुद्दाअ़लैह)के मक़ाबिल में भी है और उनके मक़ाबिल में भी जिन से ज़ुलयद को यह चीज़ हासिल हुई जबकि उस ज़ुलयद ने अपने बयान में यह ज़ाहिर कर दिया कि यह चीज़ मुझको फ़ुलां से इस नोईयत से हासिल हुई है मसलन उससे ख़रीदी है या बतौरे मीरास उससे मिली है और इस सूरत में दीगर वुरसा के मक़ाबिल में भी यह फ़ैसला क़रार पायेगा, इस चीज़ के मुतअ़ल्लिक़ मिल्के मुतलक़ का दावा कोई शख़्स करे मस्मूअ़ नहीं(दावा नहीं सुना जायेगा)होगा, मसलन मुश्तरी ने अपना ख़रीदना बयान करदिया और उससे वह चीज़ लेली गई तो मुश्तरी बाइअ़ से समन वापस लेगा और बाइअ़ ने भी अगर ख़रीदी थी तो वह अपने बाइअ़ से समन वुसूल करे 'व अ़ला हाज़लक़ियास' हर एक के लिये इआ़दए–गवाह और फ़ैसले की ज़रूरत नहीं वही पहला फ़ैसला और पहला सुबूत काफ़ी है, और अगर ज़ुलयद ने अपने बयान में सिर्फ़ इतना ही कहा कि यह चीज़ मेरी मिल्क है यह नहीं ज़ाहिर किया कि किससे उसको हासिल हुई तो वह फ़ैसला उसी के मक़ाबिल क़रार पायेगा दूसरे लोगों से उसको तअ़ल्लुक़ नहीं मसलन एक शख़्स के क़ब्ज़े में एक मकान है जिसको वह अपना बताता है उस पर दूसरे ने दावा किया कि यह मेरा है और साबित कर दिया क़ाज़ी ने उसके हक़ में फ़ैसला देदिया फिर एक तीसरा शख़्स जो मुद्दाअ़लैह अव्वल का भाई है वह खड़ा हुआ और कहता है यह मकान मेरे बाप का था उसने विरासतन मेरे और मेरे भाई के माबैन छोड़ा है और उसको साबित कर दिया तो मकान में निस्फ़ हिस्सा उसको मिल जायेगा क्योंकि पहला फ़ैसला उसके मक़ाबिल में नहीं हुआ है और अगर ज़ुलयद ने यह कहदिया होता कि मकान मुझको विरासत में मिला है तो वह पहला फ़ैसला उसके मक़ाबिल में भी होता और उसका दावा मसमूअ़ न होता(दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.5:– बाज़ सूरतें ऐसी हैं कि मुश्तरी के मक़ाबिल में फ़ैसला उनके मक़ाबिल में फ़ैसला नहीं क़रार पायेगा जिनसे मुश्तरी को वह चीज़ हासिल हूई है वह अगर दावा करेंगे तो मस्मूअ़ होगा (दावा सुना जायेगा) मसलन उसने एक जानवर ख़रीदा था मुश्तरी से इस्तेहक़ाक़ की वजह से वह जानवर लेगया उसने बाइअ़ से समन वापस करना चाहा बाइअ़ ने कहा मुस्तहिक़ झूठा है वह मेरा ही था मेरे यहाँ पैदा हुआ या जिससे मैंने ख़रीदा था उसके यहाँ उसके जानवर से पैदा हुआ यह दावा मसमूअ़ होगा और उसको गवाहों से साबित करदे तो पहला फ़ैसला रद होजायेगा या वह बाइअ़ यह कहता है कि मैंने यह चीज़ ख़ुद मुस्तहिक़ से ख़रीदी है उसकी नहीं है यह दावा भी मस्मूअ़ है। (दुरर, ग़ुरर)
मसअ्ला.6:– जब चीज़ मुस्तहिक़ की होगई मुश्तरी को बाइअ़ से समन वापस लेने का हक़ हासिल होगया मगर कोई मुश्तरी अपने बाइअ़ से समन वापस नहीं ले सकता जब तक उसके मुश्तरी ने उससे वापस न लिया हो मसलन अव्वल ख़रीदार बाइअ़ से उस वक़्त समन लेगा जब दूसरे ख़रीदार ने उससे लिया हो और अगर ख़रीदार ने बर वक़्त ख़रीदारी कोई कफ़ील (ज़ामिन) लिया था जो उसका ज़ामिन था कि अगर किसी दूसरे की यह चीज़ साबित हुई तो समन का मैं ज़ामिन हूँ

इस ज़ामिन से मुश्तरी समन उस वक़्त वुसूल कर सकता है जब मकफ़ूल अन्हु के ख़िलाफ़ में क़ाज़ी ने वापसी–ए–समन का फ़ैसला कर दिया हो। (दुरर, गुरर)

मसअ्ला.7:– मुश्तरी ने बाइअ् से समन की वापसी चाही और दोनों में कम मिक़दार पर सुलह हो गई तो यह बाइअ् अपने बाइअ् से वह समन लेगा जो उन दोनों के दरमियान तय पाया था और मुश्तरी ने बाइअ् से समन को मुआफ़ कर दिया बाद इसके कि वापसी समन के मुतअ़ल्लिक़ क़ाज़ी का फ़ैसला सादिर होचुका था तो यह बाइअ् अपने बाइअ् से समन वापस ले सकता है, और अगर इस्तेहक़ाक़ से क़ब्ल बाइअ् ने मुश्तरी को समन मुआफ़ कर दिया था तो अब मुश्तरी न बाइअ् से ले सकता है और न बाइअ् अपने बाइअ् से और मुस्तहिक़ व मुश्तरी के माबैन मुसालहत होगई कि मुस्तहिक़ समन का एक जुज़ मुश्तरी को देकर मबीअ् लेले अब मुश्तरी अपने बाइअ् से कुछ नहीं ले सकता कि उसने अपना हक़ ख़ुद ही बातिल कर दिया। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.8:– इस्तेहक़ाक़ मुब्तिल में बाइऐन व मुश्तरैन के माबैन जितने उ़क़ूद हैं वह सब फ़स्ख़ हो गये उसकी ज़रूरत नहीं कि क़ाज़ी उन उ़क़ूद को फ़स्ख़ करे, हर एक बाइअ् अपने बाइअ् से समन वापस लेने का हक़दार है उसकी ज़रूरत नहीं कि जब मुश्तरी उससे ले तो यह बाइअ् से ले और यह भी हो सकता है कि हर एक शख़्स ज़ामिन से वुसूल करले अगरचे मकफ़ूल अन्हु पर वापसी समन का फ़ैसला न हुआ हो। (दुरर, गुरर)

मसअ्ला.9:– किसी शख़्स की निस्बत यह हुक्म हुआ कि यह हुर्रे असली (अस्ली आज़ाद) है यानी एक शख़्स किसी का गुलाम था उसको पता चला कि पैदाइशी आज़ाद है उसने क़ाज़ी के पास दावा किया क़ाज़ी ने हुर्रियते असलिया का हुक्म दिया या एक शख़्स ने किसी पर दावा किया कि यह मेरा गुलाम है उसने कहा मैं असली हुर हूँ और उसको गवाहों से साबित किया या वह मुद्दई उसकी गुलामी को गवाहों से न साबित कर सका और यह कहता है कि मैं आज़ाद हूँ और इससे पहले सराहतन या दलालतन उसने अपनी गुलामी का कभी इक़रार न किया हो इतना भी नहीं कि यह जब बेचा गया उस वक़्त ख़ामोश रहा बल्कि मुश्तरी के साथ चला गया उस हुक्म के बाद अब दुनिया भर में कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि यह मेरा गुलाम है यह दावा ही नहीं सुना जायेगा, यूँही इत्क़ और उसके तवाबेअ् (उसकी तरह) का हुक्म भी तमाम जहान में नाफ़िज़ है कि उसके ख़िलाफ़ कोई दावा कर ही नहीं सकता यानी यह दावा किया कि फुलां का गुलाम था उसने आज़ाद करदिया या मुदब्बर कर दिया या लोन्डी है उसको उम्मे वलद किया और क़ाज़ी ने इन बातों का हुक्म सादिर कर दिया तो अब कोई भी दावा नहीं कर सकता। (दुर्रेमुख़्तार, दुरर)

मसअ्ला.10:– मिल्क मुअर्रिख़ (मिल्क में कोई तारीख़ तय होना) में जब इत्क़ (आज़ाद होना) तारीख़ से पहले साबित होगया और क़ाज़ी ने इत्क़ का हुक्म दिया तो उस तारीख़ के वक़्त से उसके मुतअ़ल्लिक़ मिल्क का दावा नहीं होसकता इससे पहले की मिल्क का दावा हो सकता है उसकी सूरत यह है कि ज़ैद ने बक़र से कहा तू मेरा गुलाम है पाँच साल से तू मेरी मिल्क में है बकर ने जवाब में कहा मैं फुलाँ शख़्स का गुलाम था छः वर्ष हुए उसने मुझे आज़ाद कर दिया और इस अम्र को गवाहों से साबित किया ज़ैद का दावा बेकार होगया फिर अम्र ने बकर पर दावा किया कि मैं सात वर्ष से तेरा मालिक हूँ औ अब भी तू मेरी मिल्क में है उसको उसने गवाहों से साबित किया तो गवाह क़बूल होंगे और पहला फ़ैसला मन्सूख़ होजायेगा। (दुरर, गुरर)

मसअ्ला.11:– किसी जायदाद की निस्बत वक़्फ़ का हुक्म हुआ यह हुक्म तमाम लोगों के मक़ाबिल नहीं यानी अगर उसके मुतअ़ल्लिक़ मिल्क या दूसरे वक़्फ़ का दूसरा शख़्स दावा करे वह दावा मस्मूअ् होगा (सुना जायेगा)। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– मुश्तरी को बाइअ् से समन वापस लेने का उस वक़्त हक़ होगा जब मुस्तहिक़ ने गवाहों से अपनी मिल्क साबित की हो और अगर मुद्दा अ़लैह यानी मुश्तरी ने ख़ुद ही उसकी मिल्क

का इक़रार करलिया या उस पर हल्फ़ दिया गया उसने हलफ़ से इनकार कर दिया या मुश्तरी के वकील बिल'खुसूमत ने इक़रार करलिया या हल्फ़ से इनकार करदिया तो मुश्तरी अपने बाइअ़ से समन नहीं ले सकता। (दुरर, गुरर)

मसअ्ला.13:– एक मकान ख़रीदा उस पर एक शख़्स ने मिल्क का दावा कर दिया मुश्तरी ने उसकी मिल्क का इक़रार कर लिया बाइअ़ से समन वापस नहीं ले सकता उसके बाद मुश्तरी गवाह से साबित करना चाहता है कि यह मकान मुस्तहिक़ का है ताकि बाइअ़ से समन वापस लेले यह गवाह नहीं सुने जायेंगे हाँ अगर गवाहों से यह साबित करना चाहता है कि बाइअ़ ने इक़रार किया है कि मुस्तहिक़ की मिल्क है तो यह गवाह मक़बूल होंगे और उसको बाइअ़ से समन वापस कर लेने का हक़ होजायेगा और मुश्तरी यह भी कर सकता है कि बाइअ़ पर हल्फ़ दे कि वह क़सम खाजाये कि मुस्तहिक़ का नहीं है अगर बाइअ़ ने इस क़सम से इनकार किया मुश्तरी को समन वापस लेने का हक़ होजायेगा। (दुरर)

मसअ्ला.14:– इस्तेहक़ाक़ में समन वापस लेने का हक़ उस वक़्त है कि दावा उसपर हो जो चीज़ बाइअ़ के यहाँ थी और अगर उसमें तग़य्युर आगया इतना कि अगर ग़सब किया होता तो मालिक होजाता और इस पर इस्तेहक़ाक़ हुआ तो बाइअ़ से समन नहीं ले सकता मस्लन कपड़ा ख़रीदा उसे क़ता करके सिला लिया उसके बाद मुस्तहिक़ ने गवाहों से साबित किया जब भी मुश्तरी बाइअ़ से नहीं ले सकता क्योंकि यह इस्तेहक़ाक़ उसकी मिल्क पर नहीं वह कुर्ते का मुद्दई है और उसने बाइअ़ से कुर्ता कहाँ ख़रीदा हाँ अगर उसने गवाह से यह साबित किया कि यह कपड़ा मेरा था जब कि कुर्ता न था तो अब मुश्तरी बाइअ़ से लेगा यूँही गेहूँ ख़रीदे थे आटा पिस गया आटे का मुस्तहिक़ ने दावा किया तो मुश्तरी वापस नहीं ले सकता और अगर यह कहा कि पिसने से क़ब्ल गेहूँ मेरे थे इसी तरह गोश्त ख़रीदा था पकवा लिया। (फ़तहुलक़दीर)

मसअ्ला.15:– मुश्तरी ने बाइअ़ से यूँ कहा कि अगर इस्तेहक़ाक़ होगा तो समन वापस न लूंगा फिर भी बादे इस्तेहक़ाक़ समन वापस ले सकता है और वह क़ौल लग़्व है कि इबरा यानी मुआफ़ी क़ाबिले तालीक़ (मशरूत करने के क़ाबिल) नहीं। (फ़तह)

मसअ्ला.16:– बाइअ़ मरगया है और उसका वारिस भी कोई नहीं और मुश्तरी पर इस्तेहक़ाक़ हुआ तो क़ाज़ी खुद बाइअ़ का एक वसी मुक़र्रर करेगा और मुश्तरी उससे समन वापस लेगा, बाइअ़ कहता है यह जानवर मेरे घर का बच्चा है मगर उसको साबित न कर सका या वह बैअ़ ही से इनकार करता है जब भी मुश्तरी समन वापस ले सकता है। (रद्दुलमुह़तार)

मसअ्ला.17:– मुश्तरी ने जिससे ख़रीदा है वह वकील बिलबैअ़ (बेचने का वकील) है और मुश्तरी ने समन उसी को दिया है तो उसी वकील के माल से समन वुसूल कर सकता है उसका भी इन्तेज़ार करना ज़रूर नहीं कि मोअक्किल उसको दे तो मुश्तरी ले और अगर मुश्तरी ने समन खुद मुअक्किल को दिया है तो इतना इन्तेज़ार करना होगा कि वह मुअक्किल से वुसूल करे तब यह उससे ले, बाइअ़ ने अगर मुश्तरी से कहा तुम्हें मालूम है यह चीज़ मेरी थी और यह गवाह झूठे हैं मुश्तरी ने उसकी तस्दीक़ की जब भी बाइअ़ से समन वापस ले सकता है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.18:– मुश्तरी के पास से मुस्तहिक़ के पास मबीअ़ पहुँचगई और अभी तक क़ाज़ी ने हुक्म नहीं दिया है तो मुश्तरी उससे अपनी चीज़ वापस ले सकता है या यह कि वह गवाहों से अपनी होना साबित करे और उस वक़्त बाइअ़ समन लेने का हक़दार होगा और अगर मुस्तहिक़ के यहाँ सूरते मज़कूरा में हलाक होगई तो मुश्तरी उस मूस्तहिक़ पर दावा करे कि तूने बिला हुक्मे क़ाज़ी मेरी चीज़ ली है और वह मेरी मिल्क थी और अब तेरे पास हलाक होगई लिहाज़ा उसकी क़ीमत अदा कर अब अगर मुस्तहिक़ गवाहों से अपनी होना साबित कर देगा तो मुश्तरी बाइअ़ से समन ले सकता है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.19:– एक जानवर मादा ख़रीदा मुश्तरी के यहाँ उसके बच्चा पैदा हुआ मुस्तहिक़ ने उसपर

दावा किया और गवाहों से साबित कर दिया तो मुस्तहिक़ जानवर को भी लेगा और बच्चा को भी बल्कि अगर किसी ने उस बच्चा को मार डाला या नुक़सान पहुँचाया जिसका मुआवज़ा लिया जा चुका है वह भी मुस्तहिक़ लेगा मगर यह ज़रूरी है कि क़ाज़ी ने उसका भी हुक्म दिया हो सिर्फ़ उस जानवर का हुक्म देना बच्चा का हुक्म नहीं, यह हुक्म बच्चा ही के साथ ख़ास नहीं बल्कि जितने ज़वाएद (ज़्यादा, बढ़ी हुई चीज़) हैं वह सब मुस्तहिक़ को मिलेंगे जबकि क़ाज़ी ने उसका फ़ैसला किया हो और अगर मुस्तहिक़ ने गवाहों से साबित नहीं किया है बल्कि खुद उस शख़्स ने इक़रार किया है तो बच्चा मुस्तहिक़ को नहीं मिलेगा सिर्फ़ वह जानवर ही मिलेगा हाँ अगर मुस्तहिक़ ने बच्चा का भी दावा किया हो और ज़ुलयद ने सिर्फ़ जानवर का इक़रार किया तो जानवर और बच्चा दोनों मुस्तहिक़ को मिलेंगे और दीगर ज़वाएद का भी यही हुक्म है। ज़वायद हलाक होगये तो उनका ज़ामिन नहीं गवाह और इक़रार में फ़र्क़ यह है कि बय्यिना (गवाह) हुज्जते कामिला और मुतअ़द्दिया है कि जिसके मुतअल्लिक़ क़ायम हो उसी पर मुक़तसर नहीं रहता (उसी तक महदूद नहीं रहता) और इक़रार हुज्जते क़ासिरा है कि यह तजावुज़ नहीं करता। (हिदाया, फ़तहुलक़दीर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.20:– तनाक़ुज़ यानी पहले एक कलाम कहना फिर उसके ख़िलाफ़ बताना मानेअ् दावा (दावे को रोकने वाला) है मगर इस में शर्त यह है कि पहला कलाम किसी शख़्से मुअ़य्यन के मुतअ़ल्लिक़ हो वरना मानेअ् (रोकने वाला) नहीं मसलन पहले कहा था फुलां शहर वालों के ज़िम्मा मेरा कोई हक़ नहीं फिर उसी शहर के किसी ख़ास आदमी पर दावा किया यह दावा मस्मूअ् है यानी सुना जायेगा यह भी ज़रूर है कि पहला कलाम भी उसने क़ाज़ी के सामने बोला हो या क़ाज़ी के हुज़ूर उसका सुबूत गुज़रा हो वरना क़ाबिले एअ्तेबार नहीं यह भी ज़रूर है कि ख़स्म (मद्दे मक़ाबिल) ने उसकी तस्दीक़ न की हो अगर उसने तस्दीक़ करदी तो तनाक़ुज़ का कुछ असर नहीं यह भी ज़रूर है कि क़ाज़ी ने उसकी तकज़ीब न की हो तकज़ीब से तनाक़ुज़ उठ जाता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.21:– किसी लोन्डी की निस्बत दावा किया कि यह मेरी मनकूहा है फिर यह कहता है मेरी मिल्क है यह तनाक़ुज़ है और दावाए मिल्क मस्मूअ् नहीं जिस तरह तनाक़ुज़ उसके लिये मानेअ् है दूसरे के लिये भी मानेअ् है मस्लन कहता है यह चीज़ फुलां की है (दूसरे का नाम लेकर) उसने मुझे वकील बिलखुसूमत किया है यह तनाक़ुज़ है और मानेअ् दावा है हाँ अगर उसकी दोनों बातों में ततबीक़ मुमकिन हो तो मस्मूअ् होगा मस्लन इसी मिसाले मफ़रूज़ा में वह बयान देता है कि जब पहले मैं मुद्दई होकर आया था उस वक़्त वह चीज़ उसी की थी और उसने मुझे वकील किया था और अब यह चीज़ उसकी नहीं बल्कि इसकी है और उसने मुझे वकील किया है, तनाक़ुज़ की बहुत सी सूरतें हैं उसकी बाज़ मिसालें ज़िक्र की जाती है। एक शख़्स की निस्बत दावा करता है कि वह मेरा भाई है और मैं हाजत मन्द हूँ मेरा नफ़्क़ा उससे दिलवाया जाये उसने जवाब दिया कि यह मेरा भाई नहीं है उसके बाद मुद्दई मरगया और मुद्दाअ़लैह आता है और मीरास मांगता है और कहता है मेरे भाई का तर्का मुझको दिया जाये यह ना मस्मूअ् है। पहले एक चीज़ की निस्बत कहा यह वक़्फ़ है फिर कहता है मेरी मिल्क है ना मस्मूअ् है। पहले कोई चीज़ दूसरे की बताई फिर कहता है मेरी है यह ना मस्मूअ् है और अगर पहले अपनी बताई फिर दूसरे की तो मस्मूअ् है कि अपनी कहने का मतलब यह था कि उस चीज़ को खुसूसियत के साथ बरतता था। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.22:– यह जो कहा गया कि तनाक़ुज़ मानेअ् दावा है इससे मुराद यह है कि ऐसी चीज़ में तनाक़ुज़ हो जिसका सबब ज़ाहिर था और जो चीज़ें ऐसी हैं जिनके सबब मख़्फ़ी होते हैं उनमें तनाक़ुज़ मानेअ् दावा नहीं मस्लन एक मकान ख़रीदा या किराये पर लिया फिर उसी मकान की निस्बत दावा करता है कि यह मेरे बाप ने मेरे लिये ख़रीदा जब मैं बच्चा था या मेरे बाप का मकान है जो बतौर विरासत मुझे मिला ब ज़ाहिर यह तनाक़ुज़ मौजूद है मगर मानेअ् दावा नहीं हो सकता कि पहले उसे इल्म न था इस बिना पर ख़रीदा अब जबकि मालूम हुआ यह कहता है अगर अपनी

पिछली बात गवाहों से साबित करदे तो मकान उसे मिल जायेगा। रूमाल में लपेटा हुआ कपड़ा ख़रीदा फिर कहता है यह तो मेरा ही था मैंने पहचाना न था यह बात मोअ्तबर है, दोनों भाईयों ने तर्का तक़सीम किया फिर एक ने कहा फ़ुलां चीज़ वालिद ने मुझे देदी थी अगर यह बात अपने बचपने की बताता है क़बूल है वरना नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.23:– नसब, त़लाक़, हुर्रियत इनके असबाब मख़फ़ी हैं इनमें तनाक़ुज़ मुज़िर नहीं मस्लन कहता है यह मेरा बेटा नहीं फिर कहा मेरा बेटा है नसब स़ाबित होगया और अगर पहले कहा यह मेरा लड़का है फिर कहता है नहीं है तो यह दूसरी बात ना'मोअ्तबर है क्योंकि नसब साबित हो जाने के बाद मुनतफ़ी (ख़त्म होना) नहीं हो सकता यह उस वक़्त है कि लड़का भी उसकी तस्दीक़ करे और अगर उसने उसको अपना लड़का बताया मगर वह इनकार करता है तो नसब स़ाबित नहीं हाँ लड़के ने इनकार के बाद फिर इक़रार कर लिया तो स़ाबित होजायेगा। पहले कहा मैं फ़ुलां का वारिस नहीं फिर कहा वारिस् हूँ और मीरास् पाने की वजह भी बताता है तो बात मानली जायेगी, यह बात कि फ़ुलां शख़्स मेरा भाई है यह इक़रार मोअ्तबर नहीं यानी उस कहने की वजह से उसके बाप से उसका नसब स़ाबित न होगा कि ग़ैर पर इक़रार करने का उसे कोई ह़क़ नहीं, यह कहा मेरा बाप फ़ुलां शख़्स है उसने भी मान लिया नसब स़ाबित होगया फिर वह शख़्स दूसरे का नाम लेकर कहता है मेरा बाप फ़ुलां है यह बात ना'मस्मूअ् है कि पहले शख़्स के ह़क़ का इब्त़ाल है और अगर पहले शख़्स ने उसकी तस्दीक़ नहीं की है मगर तकज़ीब भी नहीं की है जब भी दूसरे को अपना बाप नहीं बना सकता। त़लाक़ में तनाक़ुज़ की सूरत यह है कि औरत ने अपने शौहर से ख़ुला कराया उसके बाद यह दावा किया कि शौहर ने तीन त़लाकें ख़ुला से पहले ही देदी थीं लिहाज़ा बदले ख़ुला वापस किया जाये यह दावा मस्मूअ् है अगर गवाहों से स़ाबित कर देगी बदले ख़ुला वापस मिलेगा क्योंकि त़लाक़ में शौहर मुस्तक़िल है औरत की मौजूदगी या इल्म ज़रूर नहीं पहले औरत को मालूम न था इस लिये ख़ुला कराया अब मालूम हुआ तो बदले ख़ुला की वापसी का दावा किया, औरत ने शौहर के तर्का से अपना हिस्सा लिया दीगर वुरसा ने उसकी ज़ौजियत का इक़रार किया था फिर यही लोग कहते हैं कि उसके शौहर ने हालते सेहत में तीन त़लाकें देदी थीं अगर मोअ्तबर गवाहों से स़ाबित करदें औरत से तर्का वापस लेलें। हुर्रियत की दो सूरतें हैं एक अस़ली दूसरी आरिज़ी अस़ली तो यह कि आज़ाद पैदा ही हुआ रुक़्क़ियत(गुलामी)उसपर तारी ही न हुई उसकी बिना उ़लूक़(नुत्फ़ा करार पाने)पर ही हो सकता है कि उसके माँ बाप हुर हैं मगर उसे इल्म नहीं यह लोगों से अपना गुलाम होना बयान करता है फिर उसे मालूम हुआ कि उसके वालिदैन आज़ाद थे अब आज़ादी का दावा करता है और हुर्रियते आरिज़ी की बिना इत्क़ पर है इत्क़ में मौला मुस्तक़िल व मुन्फ़रिद है हो सकता है कि उसने आज़ाद कर दिया और उसे ख़बर न हुई इस लिये अपने को गुलाम बताता है जब मालूम हुआ कि आज़ाद होचुका है आज़ाद कहता है। (दुरर, गुरर)

मसअ्ला.24:– गुलाम ने ख़रीदार से कहा तुम मुझे ख़रीद लो मैं फ़ुलां का गुलाम हूँ ख़रीदार ने उसकी बात पर भरोसा किया उसे ख़रीद लिया अब मालूम हुआ कि वह गुलाम नहीं बल्कि आज़ाद है अगर बाइअ् यहाँ मौजूद है या ग़ायब है मगर मालूम है कि वह फ़ुलां जगह है तो उस गुलाम से मुत़ालबा नहीं होगा बाइअ् को पकड़ेंगे उससे समन वुसूल करेंगे और अगर बाइअ् लापता है या मरगया है और तर्का भी नहीं छोड़ा है तो उसी गुलाम से मुत़ालबा वुसूल किया जायेगा और तर्का छोड़ मरा है तो तर्का से वुसूल करें। ग़ुलाम से वुसूल किया है तो वह जब बाइअ् को पाये उससे वुसूल करे और अगर उसने सिर्फ़ इतना कहा कि मैं गुलाम हूँ या यह कहा मुझे ख़रीदलो तो उस से मुत़ालबा नहीं हो सकता। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला.25:– सूरते मज़कूरा में उसने मुरतहिन (जिसके पास चीज़ रेहन रखी गई) से कहा मुझे रेहन रखलो मैं फ़ुलां ग़ुलाम हूँ उसने रख लिया बाद में मालूम हुआ ग़ुलाम नहीं हुर है तो चाहे राहिन

हाज़िर हो या गायब यह मालूम हुआ कि फुलां जगह है या मालूम न हो बहर हाल गुलाम से रक़म वुसूल न की जायेगी और अगर अजनबी ने कहा कि इसे ख़रीदलो यह गुलाम है और उसकी बात पर इत्मिनान करके ख़रीद लिया बाद में मालूम हुआ वह आज़ाद है उस अजनबी से ज़मान नहीं लिया जा सकता क्योंकि गैर ज़िम्मेदार शख़्स की बात मानना ख़ुद धोखा खाना है और यह ख़ुद उसका कुसूर है। (हिदाया)

मसअ्ला.26:— जायदादे गैर मन्कूला बैअ् करदी फिर दावा करता है कि यह जायदाद वक़्फ़ है और इस पर गवाह पेश करता है यह गवाह सुने जायेंगे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.27:— एक चीज़ ख़रीदी और अभी उसपर क़ब्ज़ा भी नहीं किया कि मुस्तहिक़ ने दावा किया तो जब तक बाइअ् व मुश्तरी दोनों हाज़िर न हों वह दावा मस्मूअ् नहीं और अगर दोनों की मौजूदगी में मुस्तहिक़ के मुवाफ़िक़ फ़ैसला हुआ और उनमें से किसी ने यह साबित कर दिया कि मुस्तहिक़ ने ही उसको बाइअ् के हाथ बेचा था और बाइअ् ने मुश्तरी के हाथ तो गवाही मक़बूल है और बैअ् लाज़िम। (फ़तहुल क़दीर)

मसअ्ला.28:— मुस्तहिक़ ने गवाहों से यह साबित किया कि यह चीज़ मेरे पास से इतने दिनों से गायब है मसलन एक साल से मुश्तरी ने बाइअ् को यह वाक़िआ सुनाया बाइअ् ने गवाहों से यह साबित किया कि इस चीज़ का मैं दो वर्ष से मालिक हूँ इन दोनों बयानों का माहसल यह हुआ कि मुस्तहिक़ व बाइअ् दोनों ने मिल्के मुतलक़ का दावा किया है और बाइअ् ने मिल्क की तारीख़ बताई है मगर मुस्तहिक़ ने मिल्क की कोई तारीख़ नहीं बयान की क्योंकि मुस्तहिक़ यह कहता है कि इतने दिनों से यह चीज़ गायब होगई है यह नहीं बताता कि इतने दिनों से मैं उसका मालिक हूँ और ऐसी सूरत में यह हुक्म है कि ज़ुलयद का बय्यिना क़बूल नहीं होता ख़ारिज के गवाह मक़बूल होंगे और चीज़ मुस्तहिक़ को मिलेगी। (दुरर, गुरर)

मसअ्ला.29:— मुश्तरी को ख़रीदारी के वक़्त यह मालूम है कि चीज़ दूसरे की है बाइअ् की नहीं है बावजूद इसके ख़रीदली अब मुस्तहिक़ ने दावा करके वह चीज़ लेली तो भी मुश्तरी बाइअ् से समन वापस ले सकता है वह इल्म रुजूअ् से मानेअ् नहीं लिहाज़ा अगर लोन्डी को ख़रीदकर उम्मे वल्द बनाया था और जानता था कि बाइअ् ने उसे गसब किया है तो उसका बच्चा आज़ाद न होगा बल्कि गुलाम होगा और समन की वापसी के वक़्त अगर बाइअ् ने गवाहों से यह साबित भी किया कि ख़ुद मुश्तरी ने मिल्के मुस्तहिक़ का इक़रार किया था तो भी समन की वापसी पर उसका कुछ असर न पड़ेगा जबकि मुस्तहिक़ ने गवाहों से अपनी मिल्क साबित की हो। (दुरर, गुरर)

मसअ्ला.30:— अगर मुश्तरी ने बाइअ् की मिल्क का इक़रार किया मगर मुस्तहिक़ ने अपना हक़ साबित करके चीज़ लेली और मुश्तरी ने समन वापस लिया जब भी बाइअ् के लिये जो पहले इक़रार कर चुका है वह बदस्तूर बाक़ी है यानी वह चीज़ किसी सूरत से मुश्तरी के पास फिर आजाये मसलन किसी ने उसको हिबा करदी या उसने फिर ख़रीदली तो उसको यही हुक्म दिया जायेगा कि बाइअ् को देदे और अगर मिल्के बाइअ् का इक़रार नहीं किया है तो उसकी ज़रूरत नही कि बाइअ् को दे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.31:— मुश्तरी ने पूरी मबीअ् पर क़ब्ज़ा किया फिर उसके जुज़ का मुस्तहिक़ ने दावा किया तो उतने जुज़ की बैअ् फ़स्ख़ करदी जायेगी बाक़ी की बदस्तूर रहेगी हाँ अगर मबीअ् ऐसी चीज़ है कि एक जुज़ जुदा कर देने से उस में ऐब पैदा होजाता है मसलन मकान, बाग़, गुलाम है या मबीअ् दो चीज़ है मगर दोनों ब'मन्ज़िले एक चीज़ के हैं जैसे तलवार व म्यान और एक मुस्तहिक़ ने लेली तो मुश्तरी को इख़्तेयार है कि बाक़ी में बैअ् को बाक़ी रखे या वापस करदे और अगर यह दोनों बातें न हों मसलन मबीअ् दो गुलाम है या दो कपड़े और एक मुस्तहिक़ ने ले लिया या गल्ला वगैरा ऐसी चीज़ है जिस में तक़सीम मुज़िर न हो तो वापस नहीं कर सकता जो कुछ बची है उसे रखे और

जो कुछ मुस्तहिक़ ने लेली उतने का समन हिस्सा मुताबिक़ बाइअ् से लेले। (दुरर गुरर)

मसअ्ला.32:– मबीअ् के एक जुज़ पर अभी क़ब्ज़ा किया था कि मुस्तहिक़ ने उसी जुज़ या दूसरे जुज़ पर अपना हक़ साबित किया तो मुश्तरी को बैअ् फ़स्ख़ कर देने का बहर हाल इख़्तेयार है हिस्सा करने में मबीअ् में ऐब पैदा होता हो या न हो। (दुरर, गुरर)

मसअ्ला.33:– मकान के मुतअ़ल्लिक़ हक़्के मजहूल का दावा हुआ यानी मुद्दई ने इतना कहा कि मेरा इसमें हिस्सा है यह नहीं बताया कि कितना मुद्दाअ़लैह ने सौ रूपये देकर उससे मुसालहत करली फिर एक हाथ के अ़लावा सारा मकान दूसरे मुस्तहिक़ ने अपना साबित किया तो पहले जिससे सुलह हो चुकी है उससे कुछ नहीं ले सकता क्योंकि हो सकता है कि एक हाथ जो बेचा है वही उसका हो, और अगर पहले मुद्दई ने पूरे मकान का दावा किया और सौ रूपये पर सुलह हुई तो जितना मुस्तहिक़ लेगा उसके हिस्से के मुताबिक़ सौ रूपये में से वापस लिया जायेगा और मुस्तहिक़ ने कुल लिया तो पूरे सौ रूपये वापस लेगा। (हिदाया)

मसअ्ला.34:– एक शख़्स की दूसरे पर अशरफ़ियाँ हैं बजाये अशरफ़ियों के दोनों में रूपयों पर मुसालहत हुई और वह रूपये दे भी दिये उसके बाद एक तीसरे शख़्स ने इस्तेहक़ाक़ किया कि यह रूपये मेरे हैं तो अशरफ़ियों वाला उससे अशरफ़ियाँ लेगा और वह सुलह जो रूपये पर हुई थी बातिल होगई। (दुरर, गुरर)

मसअ्ला.35:– मकान ख़रीदा और उसमें तामीर की फिर किसी ने वह मकान अपना साबित कर दिया तो मुश्तरी बाइअ् से सिर्फ़ समन ले सकता है इमारत के मसारिफ़ नहीं ले सकता यूँही मुश्तरी ने मकान की मरम्मत कराई थी या कुआँ खुदवाया या साफ़ कराया तो इन चीज़ों का मुआ़वज़ा नहीं मिल सकता और अगर दस्तावेज़ में यह शर्त लिखी हुई है कि जो कुछ मरम्मत में सर्फ़ होगा बाइअ् के ज़िम्मे होगा तो बैअ् ही फ़ासिद हो जायेगी, और अगर कुआँ खुदवाया और ईंट पत्थरों से वह जोड़ा गया तो खुदने के दाम नहीं मिलेंगे चुनाई की क़ीमत मिलेगी और अगर यह शर्त की थी कि बाइअ् के ज़िम्मे खुदवाई होगी तो बैअ् फ़ासिद है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.36:– गुलाम ख़रीदा और उसके माल के बदले में आज़ाद कर दिया फिर मुस्तहिक़ ने उसको अपना साबित किया तो मुश्तरी से वह माल नहीं ले सकता, मकान को गुलाम के बदले में ख़रीदा और वह मकान शफ़ीअ् ने शुफ़आ करके लेलिया फिर उस गुलाम में इस्तेहक़ाक़ हुआ तो शुफ़आ बातिल होगया बाइअ् उस मकान को शफ़ीअ् से वापस लेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

बैअ् सलम का बयान

हदीस् (1) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम जब मदीने में तशरीफ़ लाये मुलाहिज़ा फ़रमाया कि अहले मदीना एक साल, दो साल, तीन साल तक फलों में सलम करते हैं फ़रमाया "जो बैअ़े सलम करे वह कैल मा़लूम और वज़न मा़लूम में मुद्दते मा़लूम तक के लिये सलम करे"।

हदीस् (2) अबू दाऊद व इब्ने माजा अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया "जो किसी चीज़ में सलम करे वह क़ब्ज़ा करने से पहले तसर्रुफ़ न करे"।

हदीस् (3) सहीह बुख़ारी शरीफ़ में मुहम्मद बिन अबी मुजालिद से मरवी कहते हैं कि अ़ब्दुल्लाह बिन शद्दाद और अबू हुरैरा ने मुझे अ़ब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम के पास भेजा कि जाकर उनसे पूछो कि नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम के ज़माने में सहाबए किराम गेहूँ में सलम करते थे या नहीं मैंने जाकर पूछा उन्होंने जवाब दिया कि हम मुल्के शाम के काश्तकारों से गेहूँ और जौ और मुनक़्क़े में सलम करते थे जिसका पैमाना मा़लूम होता और मुद्दत भी मा़लूम होती मैंने कहा उनसे करते होंगे जिनके पास अस्ल होती है यानी खेत या बाग़ होता।

उन्होंने कहा हम यह नहीं पूछते थे कि अस्ल उसके पास है या नहीं।

मसअला.1:– बैअ़ की चार सूरतें हैं (1)दोनों तरफ़ ऐन हो या (2)दोनों तरफ़ समन या (3)एक तरफ़ ऐन और एक तरफ़ समन अगर दोनों तरफ़ ऐन हो उसको मुक़ायिज़ा कहते हैं और दोनों तरफ़ समन हो तो उसको बैअ़े सर्फ़ कहते हैं और तीसरी सूरत में कि एक तरफ़ ऐन हो और एक तरफ़ समन उसकी दो सूरतें हैं अगर मबीअ़ का मौजूद होना ज़रूरी हो तो बैअ़े मुतलक़ है (4)और समन का फ़ौरन देना ज़रूरी हो तो बैअ़े सलम है। लिहाज़ा सलम में जिसको खरीदा जाता है वह बाइअ़ के ज़िम्मे दैन है और मुश्तरी समन को फिलहाल अदा करता है। जो रूपया देता है उसको रब्बुस्सलम और मुस्लिम कहते हैं और दुसरे को मुसलम इलैह और मबीअ़ को मुसलम फ़ीह और समन को रासु'लमाल। बैअ़े मुतलक़ के जो अरकान हैं वह इसके भी हैं उसके लिये भी ईजाब व क़बूल ज़रूरी है एक कहे मैंने तुझसे सलम किया दूसरा कहे मैंने क़बूल किया, और बैअ़ का लफ़्ज़ बोलने से भी सलम का इनइक़ाद होता है। (फ़तहुलक़दीर, दुर्रेमुख़्तार)

बैअ़ सलम के शराइत

बैअ़े सलम के लिये चन्द शर्तें हैं जिनका लिहाज़ ज़रूरी है (1)अ़क़्द में शर्ते ख़्यार न हो न दोनों के लिये न एक के लिये (2)रासुल'माल की जिन्स का बयान कि रूपया है या अशर्फ़ी या नोट या पैसा (3)उसकी नोअ़ (क़िस्म,वरायटी) का बयान यानी मस्लन अगर वहाँ मुख़्तलिफ़ क़िस्म के रूपये अशर्फ़ियाँ राइज हों तो बयान करना होगा कि किस क़िस्म के रूपये या अशर्फ़ियाँ हैं (4)बयाने वस्फ़ (ख़ूबियों का बयान) अगर खरे, खोटे कई तरह के सिक्के हों तो उसे भी बयान करना होगा (5)रासुल' माल की मिक़दार का बयान यानी अगर अ़क़्द का तअ़ल्लुक़ उसकी मिक़दार के साथ हो तो मिक़दार का बयान करना ज़रूरी होगा फ़क़त इशारा करके बताना काफ़ी नहीं मस्लन थैली में रूपये हैं तो यह कहना काफ़ी नहीं कि इन रूपयों के बदले में सलम करता हूँ बताना भी पड़ेगा कि यह सौ हैं और अगर अ़क़्द का तअ़ल्लुक़ उसकी मिक़दार से न हो मस्लन रासुल'माल कपड़े का थान या अ़ददी मुतफ़ावुत हो तो उसकी गिन्ती बताने की ज़रूरत नहीं इशारा करके मुअ़य्यन कर देना काफ़ी है अगर मुसलम फ़ी दो मुख़्तलिफ़ चीज़ें हों और रासुल'माल मकील या मौज़ूँ हों तो हर एक के मक़ाबिल में समन का हिस्सा मुक़र्रर करके ज़ाहिर करना होगा और मकील और मौज़ूँ न हो तो तफ़सील की हाजत नहीं अगर रासुल'माल दो मुख़्तलिफ़ चीज़ें हों मस्लन कुछ रूपये हैं और कुछ अशरफ़ियाँ तो उन दोनों की मिक़दार बयान करनी ज़रूर है एक की बयान करदी और एक की नहीं तो दोनों में सलम सहीह नहीं (6)उसी मज्लिसे अ़क़्द में रासुल'माल पर मुसलम इलैह का क़ब्ज़ा होजाये।

मसअला.1:– इब्तिदा–ए–मज्लिस में क़ब्ज़ा हो या आख़िरे मज्लिस में दोनों जाइज़ हैं और अगर दोनों उसी मज्लिस से एक साथ उठ खड़े हुए और वहाँ से चल दिये मगर एक दूसरे से जुदा न हुआ और दो एक मील चलने के बाद क़ब्ज़ा हुआ यह भी जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअला.2:– उसी मज्लिस में दोनों सोगये या एक सोया अगर बैठा हुआ सोया तो जुदाई नहीं हुई क़ब्ज़ा दुरुस्त है लेट कर सोया तो जुदाई होगई। (ख़ानिया)

मसअला.3:– अ़क़्द किया और पास में रूपया न था अन्दर मकान में गया कि रूपया लाये अगर मुसलम इलैह के सामने है तो सलम बाक़ी है और आड़ होगई तो सलम बातिल, पानी में घुसा और ग़ोता लागाया अगर पानी मैला है ग़ोता लगाने के बाद नज़र नहीं आता सलम बातिल होगई और साफ़ पानी हो कि ग़ोता लगाने पर भी नज़र आता हो तो सलम बाक़ी है। (आलमगीरी)

मसअला.4:– मुस्लम इलैह रासुल'माल पर क़ब्ज़ा करने से इनकार करता है यानी रब्बुस्सलम ने उसे रूपया दिया मगर वह नहीं लेता हाकिम उसको क़ब्ज़ा करने पर मजबूर करेगा। (आलमगीरी)

मसअला.5:– दो सौ रूपये का सलम किया एक सौ उसी मज्लिस में देदिये और एक सौ के मुतअ़ल्लिक़ कहा कि मुसलम इलैह के ज़िम्मे मेरा बाक़ी है वह इसमें महसूब करले तो एक सौ जो

दिये हैं उनका दुरुस्त है और एक सौ का फ़ासिद (दुरर, गुरर) और वह दैन का रूपया भी उसी मज्लिस में अदा कर दिया तो पूरे में सलम सहीह है और अगर कुल एक जिन्स न हो बल्कि जो अदा किया है रूपया है और दैन जो उसके ज़िम्मे बाक़ी है अशरफ़ी है या उसका अक्स हो या वह दैन दूसरे के ज़िम्मे है मस्लन यह कहा कि इस रूपये के और उन सौ रूपयों के बदले में जो फुलाँ के ज़िम्मे मेरे बाक़ी हैं सलम किया उन दोनों सूरतों में पूरा सलम फ़ासिद है और मज्लिस में उसने अदा भी कर दिये जब भी सलम सहीह नहीं (दुर्रेमुख़्तार) (7)मुसलम फ़ी की जिन्स बयान करना मस्लन गेहूँ या जौ (8)उसकी नोअ् (वराइटी) का बयान मसलन फुलां क़िस्म के गेहूँ (9)बयाने वस्फ़ जय्यिद (उमदा) रद्दी, औसत दर्जा (10)नाप या तोल या अदद या गज़ों से उसकी मिक़दार का बयान कर देना।

मसअ्ला.6:– नाप में पैमाना या गज़ और तौल में सेर वग़ैरा बाट ऐसे हों जिसकी मिक़दार आम तौर पर लोग जानते हों वह लोगों के हाथ से मफ़क़ूद न होसके ताकि आइन्दा कोई नज़ा (झगड़ा) न होसके और अगर कोई बर्तन घड़ा या हांडी मुक़र्रर कर दिया कि इससे नाप कर दिया जायेगा और मालूम नहीं कि इस बर्तन में कितना आता है यह दुरुस्त नहीं यूँही किसी पत्थर को मुअय्यन कर दिया कि इससे तोला जायेगा और मालूम नहीं कि पत्थर का वज़न क्या है यह भी ना'जाइज़ या एक लकड़ी मुअय्यन करदी कि उससे नापा जायेगा और यह मालूम न हो कि गज़ से कितनी छोटी या बड़ी है या कहा फुलां के हाथ से कपड़ा नापा जायेगा और यह मालूम नहीं कि उसका हाथ कितना गिरह और उंगल का है यह सब सूरतें ना'जाइज़ हैं और बैअ् में इन चीज़ों से नापना या वज़न करना क़रार पाता तो जाइज़ होती कि बैअ् में मबीअ् के नापने या तौलने के लिये कोई मीआद नहीं होती उसी वक़्त नाप तौल सकते हैं और समन में एक मुद्दत के बाद नापने और तोलने में बहुत मुम्किन है कि इतना ज़माना गुज़रने के बाद वह चीज़ बाक़ी न रहे और निज़ा वाक़ेअ् हो(हिदाया, आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– जो पैमाना मुक़र्रर हो वह ऐसा हो कि सिमटता फैलता न हो मसलन प्याला हांडी घड़ा और अगर सिमटता फैलता हो जैसे थैली वग़ैरा तो सलम जाइज़ नहीं, पानी की मश्क अगरचे फैलती सिमटती है उसमें ब'वजहे रिवाज व अमल'दर'आमद सलम जाइज़ है (हिदाया) (11)मुसलम फ़ी देने की कोई मिक़दार मुक़र्रर हो और वह मीआद मालूम हो फ़ौरन देदेना क़रार पाया यह जाइज़ नहीं।

मसअ्ला.8:– कम से कम एक माह की मिक़दार मुक़र्रर की जाये, अगर रब्बुस्सलम मरजाये जब भी मीआद बदस्तूर बाक़ी रहेगी कि मीआद पर उसके वुरसा को मुसलम फ़ी अदा करेगा और मुसलम इलैह मरगया तो मीआद बातिल होगई कि फ़ौरन उसके तर्का से वुसूल करेगा (ख़ानिया) (12)मुसलम फ़ी वक़्ते अक़्द से ख़त्मे मीआद तक बराबर दस्तेयाब होता रहे न उस वक़्त मादूम (ख़त्म) हो न अदा के वक़्त मादूम हो न दरम्यान में किसी वक़्त भी वह नापैद हो, इन तीनों ज़मानों में से एक में भी मादूम हुआ तो सलम ना'जाइज़, उसके मौजूद होने के यह माना हैं कि बाज़ार में मिलते हों और अगर बाज़ार में न मिले तो मौजूद न कहेंगे अगरचे घरों में पाया जाता हो।

मसअ्ला.9:– ऐसी चीज़ में सलम किया जो उस वक़्त से ख़त्मे मीआद तक मौजूद है मगर मीआद पूरी होने पर रब्बुस्सलम ने क़ब्ज़ा नहीं किया और अब वह चीज़ दस्तेयाब नहीं होती तो बैअ़े सलम सहीह है और रब्बुस्सलम को इख़्तेयार है कि अक़्द को फ़स्ख़ करदे या इन्तेज़ार करे जब भी वह चीज़ दस्तेयाब हो, बाज़ार में मिलने लगे उस वक़्त दी जायेगी। (आलमगीरी) अगर वह चीज़ एक शहर में मिलती है दूसरे में नहीं तो जहाँ मफ़क़ूद है वहाँ सलम ना'जाइज़ और जहाँ मौजूद है वहाँ जाइज़। (दुर्रेमुख़्तार) (13)मुसलम फ़ीह अगर ऐसी चीज़ हो जिसकी मज़दूरी बार'बर्दारी देनी पड़े तो वह जगह मुअय्यन करदी जाये जहाँ मुसलम फ़ीह अदा करे और अगर इस क़िस्म की चीज़ न हो जैसे मुश्क, ज़अ्फ़रान तो जगह मुक़र्रर करना ज़रूर नहीं, फिर इस सूरत में कि जगह मुक़र्रर करने की ज़रूरत नहीं अगर मुक़र्रर नहीं की है तो जहाँ अक़्द हुआ है वहीं ईफ़ा (ख़रीदार के हवाले) करे और दूसरी जगह किया जब भी हरज नहीं और अगर जगह मुक़र्रर होगई है तो जो मुक़र्रर हुई वहाँ ईफ़ा

करे, छोटे शहर में किसी महल्ला में देदे काफ़ी है महल्ला की तख़्सीस ज़रूर नहीं और बड़े शहर में बताने की ज़रूरत है कि किस महल्ला या शहर के किस हिस्से में अदा करना होगा।

मसअला.10:– बैअ़े सलम का हुक्म यह है कि मुसलम इलैह सलम का मालिक होजायेगा और रब्बुस्सलम मुसलम फ़ीह का, जब यह अ़क्द सहीह होगा और मुसलम इलैह ने वक़्त पर मुसलम फ़ीह को हाज़िर कर दिया तो रब्बुस्सलम को लेना ही है हाँ अगर शराइत के ख़िलाफ़ वह चीज़ है तो मुसलम इलैह को मजबूर किया जायेगा कि जिस चीज़ पर बैअ़े सलम मुनअ़क़िद हुई वह हाज़िर लाये। (आलमगीरी)

बैअ़ सलम किस चीज़ में दुरुस्त है और किस में नहीं

मसअला.11:– बैअ़े सलम उस चीज़ की हो सकती है जिसकी सिफ़त का इनज़ेबात (ख़ास) होसके और उसकी मिक़दार मालूम होसके वह चीज़ कैली हो जैसे गेहूँ या वज़नी जैसे लोहा, ताम्बा, पीतल, या अ़ददी मुतक़ारिब जैसे अखरोट, अण्डा, पपीता, नाशपाती, नारंगी, इन्जीर वग़ैरा ख़ाम ईंट और पुख़्ता ईंटों में सलम सहीह है जबकि सांचा मुक़र्रर होजाये जैसे इस ज़माने में उमूमन दस इन्च तूल, 5 पाँच इन्च अ़र्ज़ की होती हैं यह बयान भी काफ़ी है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.12:– ज़रई चीज़ में सलम जाइज़ है जैसे कपड़ा उसके लिये ज़रूरी है कि तूल अ़र्ज़ मालूम हो और यह कि वह सूती है या टसरी या रेशमी या मुरक्कब (दो चीज़ों से मिली हुई) और कैसा बना हुआ होगा मसलन फ़ुलां शहर का, फ़ुलां कारख़ाना, फ़ुलां शख़्स का उसकी बनावट कैसी होगी बारीक होगा, मोटा होगा उसका वज़न क्या होगा जबकि बैअ़ में वज़न का एअ़्तेबार होता हो यानी बाज़ कपड़े ऐसे होते हैं कि उनका वज़न में कम होना ख़ूबी है और बाज़ में वज़न का ज़्यादा होना (दुर्रेमुख़्तार) बिछौने, चटाईयाँ, दरियाँ, टाट, कंबल जब इनका तूल व अ़र्ज़ व सिफ़त सब चीज़ों की वज़ाहत होजाये तो उन में भी सलम हो सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.13:– नये गेहूँ में सलम किया और अभी पैदा भी नहीं हुए हैं यह ना जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअला.14:– गेहूँ, जौ अगरचे कैली हैं मगर सलम में उनकी मिक़दार वज़न से मुक़र्रर हुई मस्लन इतने रूपये के इतने मन गेहूँ यह जाइज़ है क्योंकि यहाँ उस तरह मिक़दार का ताईन हो जाना ज़रूरी है कि निज़ाअ़ बाक़ी न रहे और वज़न में यह बात हासिल है अलबत्ता जब उसका तबादला अपनी जिन्स से होगा तो वज़न से बराबरी काफ़ी नहीं नाप से बराबर करना ज़रूर होगा जिसको पहले हमने बयान कर दिया है।

मसअला.15:– जो चीज़ें अ़ददी हैं अगर सलम में नाप या वज़न के साथ उनकी मिक़दार का ताईन हुआ तो कोई हरज नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.16:– दूध, दही में भी बैअ़े सलम होसकती है नाप या वज़न जिस तरह चाहें उसकी मिक़दार मुअ़य्यन करलें, घी तेल में भी दुरुस्त है वज़न से या नाप से। (आलमगीरी)

मसअला.17:– भूसा में सलम दुरुस्त है उसकी मिक़दार वज़न से मुक़र्रर करें जैसा कि आज कल अकसर शहरों में वज़न के साथ भुस बिका करता है या बोरियों के नाप मुक़र्रर हों जबकि उससे ताईन हो जाये वरना जाइज़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअला.18:– अ़ददी मुतफ़ावुत जैसे तरबूज़, कद्दु, आम, इन में गिन्ती से सलम जाइज़ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार) और अगर वज़न से सलम किया हो कि अकसर जगह कद्दू वज़न से बिकता भी है इसमें वज़न से सलम करने में कोई हरज नहीं।

मसअला.19:– मछली में सलम जाइज़ है ख़ुश्क मछली हो या ताज़ा, ताज़ा में यह ज़रूर है कि ऐसे मौसम में हो कि मछलियाँ बाज़ार में मिलती हों यानी जहाँ हमेशा दस्तेयाब न हों कभी हों कभी नहीं वहाँ यह शर्त है मछलियाँ बहुत क़िस्म की होती हैं लिहाज़ा क़िस्म का बयान करना भी ज़रूरी है और मिक़दार का ताईन वज़न से हो अ़दद से न हो क्योंकि उनके अ़दद में बहुत तफ़ावुत होता है, छोटी मछलियों में नाप से भी सलम दुरुस्त है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.20:– बैअ़े सलम किसी हैवान में दुरुस्त नही, न लोन्डी गुलाम में, न चौपाया में न परिन्द में हत्ता कि जो जानवर यकसाँ होते हैं मस्लन कबूतर, बटेर, फ़ाख़्ता, चिड़ियाँ, इन में भी सलम जाइज़ नहीं जानवरों की सिरी पाये में भी बैअ़े सलम दुरुस्त नहीं हाँ अगर ज़िन्स व नोअ़् बयान करके सिरी पावों में वज़न के साथ सलम किया तो जाइज़ है अब तफ़ावुत (डिफ़रेंट) बहुत कम रह जाता है(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.21:– लकड़ियों के गट्ठर में सलम अगर इस तरह करें कि इतने गट्ठर इतने रूपये में लेंगे यह ना'जाइज़ है कि इस तरह बयान करने से मिक़दार अच्छी तरह मा़लूम नहीं होती हाँ अगर गट्ठर का इन्ज़ेबात होजाये मस्लन इतनी बड़ी रस्सी से वह गट्ठर बांधा जायेगा और इतना लम्बा होगा और इस क़िस्म की बन्दिश होगी तो सलम जाइज़ है, तरकारियों में गड्डियों के साथ मिक़दार बयान करना मस्लन रूपया या इतने पैसों में इतनी गड्डियाँ फ़ुलाँ वक़्त ली जायेंगी यह भी नाजाइज़ है कि गड्डियाँ यकसाँ नहीं होतीं छोटी बड़ी होती हैं, और तरकारियों और ईंधन की लकड़ियों में वज़न के साथ सलम हो तो जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.22:– जवाहिर और पोत में सलम दुरुस्त नहीं कि यह चीज़ें अ़ददी मुतफ़ावुत हैं छोटे मोती जो वज़न से फ़रोख़्त होते हैं उनमें अगर वज़न के साथ सलम किया जाये तो जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.23:– गोश्त की नोअ़् व सिफ़त बयान करदी हो तो उसमें सलम जाइज़ है, चर्बी और दुम्बा की चक्की में भी सलम दुरुस्त है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.24:– क़ुमक़ुमा और तश्त में सलम दुरुस्त है जूते और मोज़े में भी जाइज है जबकि उनका ताईन होजाये कि निज़ा की सूरत बाक़ी न रहे। (दुरर, ग़ुरर)

मसअ्ला.25:– अगर मुअ़य्यन कर दिया कि फ़ुलां गाँव के गेहूँ या फ़ुलां दरख़्त के फल तो सलम फ़ासिद है क्योंकि बहुत मुमकिन है उस खेत या गाँव में गेहूँ पैदा न हों उस दरख़्त में फल न आयें और अगर इस निस्बत से मक़सूद बयाने सिफ़त है यह मक़सद नहीं कि ख़ास़ उसी खेत या गाँव का ग़ल्ला उसी दरख़्त के फल तो दुरुस्त है यूँही किसी ख़ास़ जगह की तरफ़ कपड़े को मन्सूब करदिया और मक़सूद उसकी सिफ़त बयान करना है तो सलम दुरुस्त है अगर मुसलम इलैह ने दूसरी जगह का थान दिया मगर वैसा ही है तो रब्बुस्सलम लेने पर मजबूर किया जायेगा। इससे मा़लूम हुआ कि अगर किसी मुल्क की तरफ़ इन्तेसाब हो तो सलम स़हीह़ है मसलन पंजाब के गेहूँ कि यह बहुत बईद है कि पूरे पंजाब में गेहूँ पैदा ही न हों। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार, आ़लमगीरी)

मसअ्ला.26:– तेल में सलम दुरुस्त है जबकि उसकी क़िस्म बयान करदी गई हो मस्लन तिल का तेल, सरसों का तेल, और खुश्बूदार तेल में भी जाइज़ है मगर उसमें भी क़िस्म बयान करना ज़रूर है मसलन रोग़न गुल, चम्बेली, जूही वग़ैरा। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.27:– ऊन में सलम दुरुस्त है जबकि वज़न से हो और ख़ास़ भेड़ को मुअ़य्यन न किया हो, रुई, टसर, रेशम में भी दुरुस्त है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.28:– पनीर और मक्खन में सलम दुरुस्त है जबकि इस तरह़ बयान करदिया गया है कि अहले स़नअ़त (बनाने वाले) के नज़्दीक इश्तिबाह (शक) बाक़ी न रहे। शहतीर और कड़ियों और साखू शीशम वग़ैरा के बने हुए सामान में भी दुरुस्त है जबकि लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई, और लकड़ी की क़िस्म वग़ैरह तमाम वह बातें बयान करदी जायें जिनके न बयान करने से निज़ा़ वाक़ेअ़् हो।(आलमगीरी)

मसअ्ला.29:– मुस्लम इलैह (बाइअ़) रब्बुस्सलम (ख़रीदार) को रासुल'माल मुआफ़ नहीं कर सकता अगर उसने मुआफ़ कर दिया और रब्बुस्सलम ने क़बूल कर लिया सलम बातिल है और इनकार कर दिया तो बातिल नहीं। (आलमगीरी)

रासुल'माल और मुसलम फ़ीह पर क़ब्ज़ा और उनमें तस़र्रुफ़

मसअ्ला.30:– मुस्लम इलैह रासुल'माल पर क़ब्ज़ा करने से पहले कोई तस़र्रुफ़ नहीं कर सकता और रब्बुस्सलम मुसलम फ़ीह से कहे फ़ुलां से मैंने इतने मन गेहूँ में सलम किया है वह तुम्हारे हाथ

बेचे, न उसमें किसी को शरीक कर सकता कि किसी से कहे सौ रूपये से मैंने सलम किया है अगर तुम पचास देदो तो बराबर के शरीक होजाओ या उसमें तौलिया या मुराबहा करे यह सब तसर्रुफ़ात ना'जाइज़ अगर खुद मुस्लम इलैह के साथ यह उक़ूद किये मसलन उसके हाथ उन्हीं दामों में या ज़्यादा दामों में बैअ् कर डाली या उसे शरीक कर लिया यह भी ना'जाइज़ है, अगर रब्बुस्सलम ने मुसलम फ़ीह उसको हिबा करदिया और उसने क़बूल भी करलिया तो यह इक़ाल-ए-सलम क़रार पायेगा और हक़ीक़तन हिबा न होगा और रासुलमाल वापस करना होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.31:– रासुल'माल जो चीज़ क़रार पाई है उसके एवज़ में दूसरी जिन्स की चीज़ देना जाइज़ नहीं मस्लन रूपये से सलम हुआ और उसकी जगह अशर्फ़ी या नोट दिया यह ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.32:– मुसलम फ़ीह के बदले में दूसरी चीज़ लेना, देना ना'जाइज़ है हाँ अगर मुसलम इलैह ने मुसलम फ़ीह उससे बेहतर दिया जो ठहरा था तो रब्बुस्सलम उसके क़बूल से इनकार नही कर सकता और उससे घटिया पेश करता है तो इनकार कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.33:– कपड़े में सलम हुआ मुसलम इलैह उससे बेहतर कपड़ा लाया जो ठहरा था या मिक़दार में उससे ज़्यादा लाया और कहता यह है कि यह थान लेले और एक रूपया मुझे ओर दो रब्बुस्सलम ने देदिया यह जाइज़ है और यह रूपया जो ज़्यादा दिया है उस ख़ूबी के मक़ाबिल में क़रार पायेगा जो उस थान में है या ज़ायद मिक़दार के मक़ाबिल में, और अगर जो कुछ ठहरा था उससे घटिया लाया और कहता यह है कि उसी को लेलो और मैं एक रूपया वापस कर दूँगा यह ना'जाइज़ है और अगर घटिया पेश करता और यह फ़िक़रा रूपया वापस करने का न कहता और रब्बुस्सलम क़बूल कर लेता तो जाइज़ था और यही एक क़िस्म की मुआफ़ी है यानी अच्छाई जो एक सिफ़त थी उसने उसके बिग़ैर लेलिया और अगर मकील या मौज़ूँ में सलम हुआ है मसलन दस रूपये के पाँच मन गेहूँ ठहरे हैं अच्छे खरे गेहूँ लाया और कहता है एक रूपया और दो यह ना'जाइज़ है और पाँच मन से ज़्यादा लाया है और कहता है एक रूपया और दो या पाँच मन से कम लाया है और कहता है एक रूपया वापस लो यह जाइज़ है और अगर पाँच मन ख़राब लाया और एक रूपया वापस करने को कहता है यह ना'जाइज़ है। (ख़ानिया)

मसअ्ला.34:– मुसलम फ़ीह के मक़ाबिल में रब्बुस्सलम अगर कोई चीज़ अपने पास रेहन रखे दुरुस्त है। अगर रहन हलाक होजाये तो रब्बुस्सलम मुस्लम इलैह से कुछ मुतालबा नहीं कर सकता और मुस्लम इलैह मरगया और उसके ज़िम्मे बहुत से दुयून (क़र्ज़) हैं तो दूसरे क़र्ज़ख़्वाह उस रहन से दैन वुसूल करने का हक़दार नहीं है जब तक रब्बुस्सलम वुसूल न करले। (आलमगीरी)

मसअ्ला.35:– मुसलम फ़ीह की वुसूली के लिये रब्बुस्सलम उससे कफ़ील (ज़ामिन) ले सकता है और उसका हवाला भी दुरुस्त है अगर हवाला कर दिया कि यह गेहूँ फ़ुलां से वुसूल करलो तो खुद मुसलम इलैह मुतालबा से बरी होगया और किसी ने किफ़ालत की है तो मुसलम इलैह बरी नहीं बल्कि रब्बुस्सलम को इख़्तेयार है कफ़ील से मुतालबा करे या मुसलम इलैह से, यह नहीं हो सकता है कि रब्बुस्सलम कफ़ील से मुसलम फ़ीह की जगह पर कोई दूसरी चीज़ वुसूल करे, कफ़ील ने रब्बुस्सलम को मुसलम फ़ीह अदा करदिया मुस्लम इलैह से वुसूल करने में उसके बदले में दूसरी चीज़ ले सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.36:– मुस्लम इलैह ने किसी को कफ़ील किया कफ़ील ने मुसलम इलैह से मुसलम फ़ीह को बर वजहे किफ़ालत वुसूल किया फिर कफ़ील ने उसे बेचकर नफ़ा उठाया मगर रब्बुस्सलम को मुसलम फ़ीह देदिया तो यह नफ़ा उसके लिये हलाल है, और अगर मुसलम इलैह ने यह कहकर दिया कि उसे रब्बुस्सलम को पहुँचादे तो नफ़ा उठाना जाइज़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.37:– रब्बुस्सलम ने मुसलम इलैह से कहा इसे अपनी बोरियों में तोलकर रख दो या अपने मकान में तोलकर अलग करके रखदो उससे रब्बुस्सलम का क़ब्ज़ा नहीं हुआ यानी जबकि बोरियों में

रब्बुस्सलम को ग़ैर मौजूदगी में भरा हो या रब्बुस्सलम ने अपनी बोरियाँ दीं और यह कहकर चला गया कि इनमें भरदो उसने नाप या तोलकर भरदिया अब भी रब्बुस्सलम का क़ब्ज़ा नहीं हुआ कि अगर हलाक होगा तो मुसलम इलैह का हलाक होगा रब्बुस्सलम से कोई तअ़ल्लुक़ न होगा, और अगर उसकी मौदजूगी में बोरियों में ग़ल्ला भरा गया तो चाहे बोरियाँ उसकी हों या मुसलम इलैह की रब्बुस्सलम क़ाबिज़ होगया। अगर बोरी में रब्बुस्सलम का ग़ल्ला मौजूद हो और उसमें सलम का ग़ल्ला भी मुसलम इलैह ने डाल दिया तो रब्बुस्सलम का क़ब्ज़ा होगया और बैअ़े मुतलक़ में अपनी बोरियाँ देता और कहता है इसमें नापकर भरदो और वह भर देता तो उसका क़ब्ज़ा होजाता उसकी मौदजूगी में भरता या अ़दमे मौजूदगी में, यूँही अगर रब्बुस्सलम ने मुसलम इलैह से कहा उसका आटा पिसवादे उसने पिसवादिया तो आटा मुसलम इलैह का है रब्बुस्सलम का नहीं और बैअ़े मुतलक़ में मुश्तरी का होता और उसने कहा उसे पानी में फेंकदे उसने फेंकदिया तो मुसलम इलैह का नुक़सान हुआ रब्बुस्सलम से तअ़ल्लुक़ नहीं और बैअ़े मुतलक़ में मुश्तरी का नुक़सान होता।(हिदाया, फतहुल'क़दीर)

मसअ्ला.38:– ज़ैद ने अ़म्र से एक मन गेहूँ में सलम किया था जब मीआ़द पूरी हुई अ़म्र ने किसी से एक मन गेहूँ ख़रीदे ताकि ज़ैद को देदे और ज़ैद से कहदिया कि तुम उस से जाकर लेलो ज़ैद ने उससे लेलिये तो ज़ैद का मालिकाना क़ब्ज़ा नहीं हुआ और अगर अ़म्र यह कहे कि तुम मेरे नाइब होकर वुसूल करो फिर अपने लिये क़ब्ज़ा करो और ज़ैद एक मरतबा अ़म्र के लिये उनको तोले फिर दोबारा अपने लिये तोले अब सलम की वुसूली होगई और अगर अ़म्र ने ख़रीदा नहीं बल्कि क़र्ज़ लिया है और ज़ैद से कहदिया जाकर उससे सलम के गेहूँ लेलो तो उसका लेना सही़ह है यानी क़ब्ज़ा हो जायेगा। (हिदाया)

मसअ्ला.39:– बैअ़े सलम में यह शर्त ठहरी कि फ़ुलां जगह वह चीज़ देगा मुसलम इलैह ने दुसरी जगह वह चीज़ दी और कहा यहाँ से वहाँ तक की मज़दूरी मैं दूँगा रब्बुस्सलम ने चीज़ लेली यह क़ब्ज़ा दुरुस्त है मगर मज़दूरी लेना जाइज़ नहीं मज़दूरी जो लेचुका है वापस करे हाँ अगर उसको पसन्द नहीं करता कि मज़दूरी अपने पास से ख़र्च करे तो चीज़ वापस करदे और उससे कहदे कि जहाँ पहुँचाना ठहरा है वह ख़ुद मज़दूर करके या जैसे चाहे पहुँचाये। (आलमगीरी) यह त़य हुआ कि रब्बुस्सलम के मकान पर पहुँचायेगा और मुस्लम इलैह को अपने मकान का पूरा पता बता दिया है तो दुरुस्त है। (आलमगीरी)

बैअ़् सलम का इक़ाला

मसअ्ला.40:– सलम में इक़ाला दुरुस्त है यह भी होसकता है कि पूरे सलम में इक़ाला किया जाये और यूँ भी होसकता है कि उसके किसी जुज़ में इक़ाला करें अगर पूरे सलम में इक़ाला किया मीआ़द पूरी होने से क़ब्ल या बा़द रासुल'माल मुसलम इलैह के पास मौजूद हो या न हो बहर हा़ल इक़ाला दुरुस्त है अगर रासुल'माल ऐसी चीज़ हो जो मुअ़य्यन करने से मुअ़य्यन होती है मस्लन गाय, बैल, भैंस या कपड़ा वग़ैरा और यह चीज़ बिऐनेही मुसलम इलैह के पास मौजूद है तो बिऐनेही उसी को वापस करना होगा और मौजूद न हो तो अगर मिस्ली है उसकी मिस्ल देनी होगी और क़ियमी हो तो क़ीमत देनी पड़ेगी और अगर रासुल'माल ऐसी चीज़ न हो जो मुअ़य्यन करने से मुअ़य्यन हो मस्लन रूपया अशर्फ़ी तो चाहे मौजूद हो या न हो उसकी मिस्ल देना जाइज़ है बिऐनेही उसी का देना ज़रूर नहीं। रब्बुस्सलम ने मुस्लम फ़ीह पर क़ब्ज़ा कर लिया है उसके बाद इक़ाला करना चाहते हैं अगर मुस्लम फ़ीह बिऐनेही मौजूद है इक़ाला होसकता है और बिऐनेही उसी चीज़ को वापस देना होगा और अगर मुसलम फ़ीह बाक़ी नहीं तो इक़ाला दुरुस्त नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.41:– सलम के इक़ाला में यह ज़रूरी नहीं कि जिस मज्लिस में इक़ाला हो उसी में रासुल'माल को वापस ले बा़द में लेना भी जाइज़ है। इक़ाला के बा़द यह जाइज़ नहीं कि क़ब्ज़ा से पहले रासुल'माल के बदले में कोई चीज़ मुसलम इलैह से ख़रीदले रासुल'माल पर क़ब्ज़ा करने के

बाद ख़रीद सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.42:– अगर समन के किसी जुज़ में इक़ाला हुआ और मीआद पूरी होने के बाद हुआ तो यह इक़ाला भी सहीह है और मीआद पूरी होने से पहले हुआ और यह शर्त नहीं कि बाक़ी को मीआद से क़ब्ल अदा किया जाये यह भी सहीह है, और अगर यह शर्त है कि बाक़ी को क़ब्ले मीआद पूरी होने के अदा किया जाये तो शर्त बातिल है और इक़ाला सहीह। (आलमगीरी)

मसअ्ला.43:– कनीज़ वग़ैरा कोई उसी क़िस्म की चीज़ रासुल'माल थी और मुसलम इलैह ने उस पर क़ब्जा भी करलिया फिर इक़ाला हुआ उसके बाद अभी कनीज़ वापस नहीं हुई मुसलम इलैह के पास मरगई तो इक़ाला सहीह है और कनीज़ पर जिस दिन क़ब्ज़ा किया था उस रोज़ जो क़ीमत थी वह अदा करे और कनीज़ के हलाक होने के बाद इक़ाला किया जब भी इक़ाला सहीह है कि सलम में मबीअ् मुसलम फ़ीह है और कनीज़ रासुल'माल व समन है न कि मबीअ्। (हिदाया)

मसअ्ला.44:– रब्बुस्सलम ने मुसलम फ़ीह को मुसलम इलैह के हाथ रासुल'माल के बदले में बेच डाला तो यह इक़ाला सहीह नहीं है बल्कि तसर्रुफ़ ना'जाइज़ है। रासुल'माल से ज़्यादा में बैअ् किया जब भी ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.45:– सौ रूपये रासुल'माल हैं यह मुसालहत हुई कि मुसलम इलैह रब्बुस्सलम को दो सौ या डेढ़ सौ वापस देगा और सलम से दस्त'बर्दार होगा यह ना'जाइज़ व बातिल है यानी इक़ाला सहीह है मगर रासुल'माल से जो कुछ ज़्यादा वापस देना क़रार पाया है वह बातिल है सिर्फ़ रासुल'माल ही वापस करना होगा और अगर पचास रूपये में मुसालहत हुई तो निस्फ़ सलम का इक़ाला हुआ और निस्फ़ ब'दस्तूर बाक़ी है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.46:– रब्बुस्सलम और मुसलम इलैह में इख़्तिलाफ़ हुआ मुसलम इलैह यह कहता है कि ख़राब माल देना क़रार पाया था रब्बुस्सलम यह कहता है यह शर्त थी ही नहीं न अच्छे की न बुरे की या एक कहता है एक माह की मीआद थी दूसरा कहता है कोई मीआद ही न थी तो उसका क़ौल मोअ्तबर होगा जो ख़राब अदा करने की शर्त या मीआद ज़ाहिर करता है जो मुन्किर है उसका क़ौल मोअ्तबर नहीं कि यह एक दम इस ज़िम्न में सलम को ही उड़ा देना चाहता है और अगर मीआद की कमी बेशी में इख़्तिलाफ़ हुआ तो उसका क़ौल मोअ्तबर होगा जो कम बताता है यानी रब्बुस्सलम का क्योंकि यह मुद्दत कम बतायेगा ताकि जल्द मुसलम फ़ीह को वुसूल करे और अगर मीआद के गुज़र जाने में इख़्तेलाफ़ हुआ एक कहता है गुज़रगई दूसरा कहता है बाक़ी है तो उसका क़ौल मोअ्तबर है जो कहता है अभी बाक़ी है यानी मुसलम इलैह का और अगर दोनों गवाह पेश करें तो गवाह भी उसी के मोअ्तबर हैं। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.47:– अक़्द सलम जिस तरह खुद कर सकता है वकील से भी करा सकता है यानी समन के लिये किसी को वकील बनाया यह तौकील दुरुस्त है और वकील को तमाम उन शराइत का लिहाज़ करना होगा जिनपर सलम का जवाज़ मौक़ूफ़ है। इस सूरत में वकील से मुतालबा होगा और वकील ही मुतालबा भी करेगा यही रासुल'माल मज्लिसे अक़्द में देगा और यही मुसलम फ़ीह वुसूल करेगा। अगर वकील ने मुअक्किल के रूपये दिये हैं मुसलम फ़ीह वुसूल करके मोअक्किल को देदे और अपने रूपये दिये हैं तो मुअक्किल से वुसूल करे और अगर अब तक वुसूल नहीं हुए तो मुसलम फ़ीह पर क़ब्ज़ा करके उसे मोअक्किल से रोक सकता है जब तक मोअक्किल रूपया न दे यह चीज़ न दे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.48:– वकील ने अपने बाप, माँ या बेटे या बीवी से अक़्दे सलम किया यह ना'जाइज़ है।(खा)

इस्तिस्नाअ् का बयान

कभी ऐसा होता है कारीगर को फ़रमाइश देकर चीज़ बनवाई जाती है उसको इस्तिस्नाअ् कहते हैं अगर इसमें कोई मीआद मज़कूर हो और वह एक माह से कम की न हो तो वह सलम है तमाम वह शाराइत जो बैअ़ सलम में मज़कूर हुए उनकी मुराआत की जाये यहाँ यह नहीं देखा जायेगा कि उसके बनवाने का चलन और रिवाज मुसलमानों में है या नहीं बल्कि सिर्फ़ यह देखेंगे कि इसमें सलम जाइज़ है या नहीं अगर मुद्दत ही न हो या एक माह से कम की मुद्दत हो तो इस्तिस्नाअ् है और उसके जवाज़ के लिये तआमुल ज़रूरी है यानी जिसके बनवाने का रिवाज है जैसे मोज़े, जूता, टोपी, वग़ैरा इस में इस्तिस्नाअ् दुरुस्त है और जिस में रिवाज न हो जैसे कपड़ा बुनवाना, किताब छपवाना इस में सहीह नहीं। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरह)

मसअ्ला.1:– उलमा का इख़्तिलाफ़ है कि इस्तिस्नाअ् को बैअ् क़रार दिया जाये या वादा जिसको बनवाया जाता है वह मादूम शय है और मादूम की बैअ् नहीं होसकती लिहाज़ा वादा है जब कारीगर बनाकर लाता है उस वक़्त बतौरे तआती बैअ् होजाती है मगर सहीह यह है कि यह बैअ् ही तआमुल ने ख़िलाफ़े क़यास इस बैअ् को जाइज़ किया अगर वादा होता तो तआमुल की ज़रूरत न होती। हर जगह इस्तिस्नाअ् जाइज़ होता, इस्तिस्नाअ् में जिस चीज़ पर अक़्द है वह चीज़ है, कारीगर का अमल माक़ूद अलैह नहीं, लिहाज़ा अगर दूसरे की बनाई हुई चीज़ लाया अक़्द से पहले बना चुका था वह लाया और उसने लेली दुरुस्त है और अमल माक़ूद अलैह होता तो दुरुस्त न होता। (हिदाया)

मसअ्ला.2:– जो चीज़ फ़रमाइश की बनाई गई वह बनवाने वाले के लिये मुतअय्यन नहीं जब वह पसन्द करले उसकी होगी और अगर कारीगर ने उसके दिखाने से पहले ही बेच डाली तो बैअ् सहीह है और बनवाने वाले के पास पेश करने पर कारीगर को यह इख़्तेयार नहीं कि उसे न दे दूसरे को देदे बनवाने वाले को इख़्तेयार है कि ले या छोड़दे, अक़्द के बाद कारीगर को यह इख़्तेयार नहीं कि न बनाये, अक़्द होजाने के बाद बनाना लाज़िम है। (हिदाया)

बैअ् के मुतफ़र्रिक़ मसाइल

मसअ्ला1:– मिट्टी की गाय, बैल, हाथी, घोड़ा और उनके इलावा दूसरे खिलौने बच्चों को खेलने के लिये ख़रीदना ना'जाइज़ है और उन चीज़ों की कोई क़ीमत भी नहीं अगर कोई शख़्स इन्हें तोड़ फोड़दे तो उस पर तावान भी वाजिब नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– कुत्ता, बिल्ली, हाथी, चीता, बाज़, शिकरा, बहरी इन सब की बैअ् जाइज़ है, शिकारी जानवर मुअ़ल्लिम (सिखाये हुये) या ग़ैर मुअ़ल्लिम दोनों की बैअ् सहीह है मगर यह ज़रूर है कि क़ाबिले तालीम हों, कटख़ना कुत्ता जो क़ाबिले तालीम नहीं है उसकी बैअ् दुरुस्त नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– बन्दर को खेल और मज़ाक़ के लिये ख़रीदना मना है और उसके साथ खेलना और तमस्ख़ुर (हँसी, मज़ाक़) करना हराम। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– जानवर या ज़राअत या खेती या मकान की हिफ़ाज़त के लिये या शिकार के लिये कुत्ता पालना जाइज़ है और यह मक़ासिद न हों तो पालना ना'जाइज़ और जिस सूरत में पालना जाइज़ है उसमें भी मकान के अन्दर न रखे अलबत्ता अगर चोर या दुशमन का ख़ौफ़ है तो मकान के अन्दर भी रख सकता है। (फ़तहुलक़दीर)

मसअ्ला.5:– मछली के सिवा पानी के तमाम जानवर मेंढक, केकड़ा वग़ैरह और हशरातुल'अर्द, चूहा, छछूंदर, घूंस, छिपकली, गिरगिट, गोह, बिच्छू, चींटी की बैअ् ना'जाइज़ है। (फ़तहुल'क़दीर)

मसअ्ला.6:– काफ़िरे ज़िम्मी बैअ् की सेहत व फ़साद के मामले में मुस्लिम के हुक्म में है यह बात अल'बत्ता है कि अगर वह शराब व ख़िन्ज़ीर की बैअ् व शिरा करें तो हम उनसे तआरुज़ न करेंगे(हिदाया)

मसअ्ला.7:– काफ़िर ने अगर मुसहफ़ शरीफ को ख़रीदा है तो उसे मुसलमान के हाथ फ़रोख़्त करने पर मजबूर करेंगें। (तनवीर)

मसअ्ला.8:– एक शख़्स ने दूसरे से कहा तुम अपनी फ़ुलां चीज़ फ़ुलां शख़्स के हाथ हज़ार रूपये में बैअ् करदो और हज़ार रूपये के इलावा पाँच सौ समन का मैं ज़ामिन हूँ उसने बैअ् करदी यह बैअ् जाइज़ है हज़ार रूपये मुश्तरी से लेगा और पाँच सौ ज़ामिन से और अगर ज़ामिन ने स्मन का लफ़्ज़ नहीं कहा तो हज़ार ही रूपये में बैअ् हुई ज़ामिन से कुछ नहीं मिलेगा। (हिदाया)

मसअ्ला.9:– एक शख़्स ने कोई चीज़ ख़रीदी और मबीअ् पर न क़ब्ज़ा किया न स्मन अदा किया और ग़ायब होगया मगर मा'लूम है कि फ़ुलां जगह है तो क़ाज़ी यह हुक्म नहीं देगा कि उसे बेचकर समन वुसूल करे और अगर मा'लूम नहीं कि वह कहाँ है और गवाहों से क़ाज़ी के सामने उसने बैअ् साबित करदी तो क़ाज़ी या उसका नाइब बैअ् करके स्मन अदा करदे अगर कुछ बच रहे तो उसके लिये महफ़ूज़ रखे और कमी पड़े तो मुश्तरी जब मिल जाये उससे वुसूल करे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– दो शख़्सों ने मिलकर कोई चीज़ एक अ़क़्द में ख़रीदी और उनमें से एक ग़ायब होगया मा'लूम नहीं कहाँ है जो मौजूद है वह पूरा स्मान देकर बाइअ् से चीज़ ले सकता है बाइअ् देने से इनकार नहीं कर सकता यह नहीं कह सकता कि जब तक तुम्हारा साथी नहीं आयेगा मैं तुमको तनहा नहीं दूँगा और जब मुश्तरी ने पूरा स्मन देकर मबीअ् पर क़ब्ज़ा करलिया अब उसका साथी आजाये तो उसके हिस्से का स्मन वुसूल करने के लिये मबीअ् पर क़ब्ज़ा देने से इन्कार कर सकता है, कह सकता है कि जब तक समन नहीं अदा करोगे क़ब्ज़ा नहीं दूँगा और यह या'नी बाइअ् का मुश्तरी हाज़िर को पूरी मबीअ् देना उस वक़्त है जबकि मबीअ् ग़ैर मिस्ली (या'नी उसकी मिस्ल न हो) क़ाबिले क़िस्मत (तक़सीम होने के क़ाबिल) न हो जैसे जानवर लोन्डी गुलाम और अगर क़ाबिले क़िस्मत हो जैसे गेहूँ वग़ैरह तो सिर्फ़ अपने हिस्से पर क़ब्ज़ा कर सकता है कुल मबीअ् पर क़ब्ज़ा देने के लिये बाइअ् मजबूर नहीं। (हिदाया, फ़तह, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.11:– यह कहा कि यह चीज़ हज़ार रूपये और अशर्फ़ियों में ख़रीदी तो पाँच सौ रूपये और पाँच सौ अशर्फ़ियाँ देनी होंगी तमाम मुआ़मलात में यह क़ायदा कुल्लिया है कि जब चन्द चीज़ें ज़िक्र की जायें तो वज़न या नाप या अ़दद उन सब के मजमूआ़ से पूरा करेंगे और सबको बराबर बराबर लेंगे। महर, बदले खुला, वसियत, वदीअ़त, इजारा, इक़रार, ग़सब सब का वही हुक्म है जो बैअ् का है मस्लन किसी ने कहा फ़ुलां शख़्स के मुझ पर एक मन गेहूँ और जौ हैं तो निस्फ़ मन गेहूँ और निस्फ़ मन जौ देने होंगे या कहा एक सौ अण्डे, अख़रोट, सेब, हैं तो हर एक में से सौ की एक एक तिहाई, सौ गज़ फ़ुलां फ़ुलां कपड़ा तो दोनों के पचास पचास गज़। (हिदाया, फ़तह, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.12:– मकान ख़रीदा बाइअ् से कहता है दस्तावेज़ लिखदो बाइअ् दस्तावेज़ लिखने पर मजबूर नहीं और इस पर भी मजबूर नहीं किया जासकता कि घर से जाकर दूसरों को इस बैअ् का गवाह बनाये हाँ अगर दस्तावेज़ का काग़ज़ और गवाहाने आ़दिल उसके पास मुश्तरी लाया तो सिकाक (दस्तावेज़ लिखने वाला) और गवाहों के सामने इनकार नहीं कर सकता मजबूर है कि इक़रार करे वरना हाकिम के सामने मुआ़मला पेश किया जायेगा और वहाँ अगर इक़रार करे तो गोया बैअ् की रजिस्ट्री होगई। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार) यह उस ज़माने की बातें हैं जब शरीअ़त पर लोग अ़मल करते थे और किज़्ब व फ़साद से गुरेज़ करते थे इस्लाम के मुताबिक़ बैअ् व शिरा करते थे इस ज़मान–ए–फ़साद में अगर दस्तावेज़ न लिखी जाये तो बैअ् करके मुकरते हुए कुछ देर भी न लगे और बिग़ैर दस्तावेज़ बल्कि बिला रजिस्ट्री अंग्रेज़ी कचहरियों में मुश्तरी की कोई बात न पूछे इस ज़माने में एहयाये हक़ (हक़ को ज़िन्दा रखने) की यही सूरत है कि दस्तावेज़ लिखी जाये और उसकी रजिस्ट्री हो लिहाज़ा बाइअ् को इस ज़माने में उससे इनकार की कोई वजह नहीं।

मसअ्ला.13:– पुरानी दस्तावेज़ जिनके ज़रिये से यह शख़्स मकान का मालिक है मुश्तरी त़लब करता है बाइअ् को उसपर मजबूर नहीं किया जासकता कि मुश्तरी को देदे हाँ अगर ज़रूरत पड़े कि बिग़ैर उन दस्तावेज़ों के काम नहीं चलता मस्लन किसी ने यह मकान ग़सब कर लिया और

गवाहों से कहा जाता है शहादत दो कि यह मकान फुलां का था वह कहते हैं जब तक हम दस्तावेज़ में अपने दस्तख़त न देखलें गवाही नहीं देंगे ऐसी सूरत में दस्तावेज़ का पेश करना ज़रूरी है कि बिग़ैर उसके इहयाये हक़ नहीं होता। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.14:– शौहर ने रुई ख़रीदी औरत ने उसका सूत काता कुल सूत शौहर का है औरत को कातने की उजरत भी नहीं मिल सकती। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.15:– औरत ने अपने माल से शौहर को कफ़न दिया या वुरसा में से किसी ने मय्यित को कफ़न दिया अगर वैसा ही कफ़न है जैसा देना चाहिये तो तर्का में से उसका सरफ़ा ले सकता है और उससे बेश है तो जो कुछ ज़्यादती है वह नहीं मिलेगी और अजनबी ने कफ़न दिया है तो तबर्रोअ् है उसे कुछ नहीं मिल सकता। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.16:– हराम तौर पर कसब किया या पराया माल ग़सब कर लिया और उससे कोई चीज़ ख़रीदी उसकी चन्द सूरतें हैं, (1)बाइअ् को यह रूपया पहले देदिया फिर उसके एवज़ में चीज़ ख़रीदी (2)या उसी हराम रूपये को मोअय्यन करके उससे चीज़ ख़रीदी और यही रूपया दिया। (3)उसी हराम से ख़रीदी मगर दूसरा रूपया दिया (4)ख़रीदने में उसको मुअय्यन नहीं किया यानी मुतलक़न कहा एक रूपये की चीज़ दो और यह हराम रूपया दिया। (5)दूसरे रूपये से चीज़ ख़रीदी और हराम रूपया दिया पहली दो सूरतों में मुश्तरी के लिये वह बैअ् हलाल नहीं और उससे जो कुछ नफ़ा हासिल किया वह भी हलाल नहीं बाक़ी तीन सूरतों में हलाल। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.17:– किसी जाहिल शख़्स को बतौरे मुज़ारबत रूपये दिये मालूम नहीं कि जाइज़ तौर पर तिजारत करता है या ना'जाइज़ तौर पर तो नफ़ा में उसको हिस्सा लेना जाइज़ है जब तक यह मालूम न हो कि उसने हराम तौर पर कसब किया है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.18:– किसी ने अपना कपड़ा फेंकदिया और फेंकते वक़्त यह कहदिया जिसका जी चाहे लेले तो जिसने सुना लेसकता है और जो लेगा मालिक होजायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.19:– बाप ने ना'बालिग़ औलाद की ज़मीन बैअ् करडाली अगर उसके चाल चलन अच्छे हों या मस्तूरुलहाल है तो बैअ् दुरुस्त है और अगर बद चलन है माल को ज़ाइअ् करने वाला है तो बैअ् ना'जाइज़ है यानी नाबालिग़ बालिग़ होकर उस बैअ् को तोड़ सकता है हाँ अगर अच्छे दामों में बेची है तो बैअ् सहीह है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.20:– माँ ने बच्चे के लिये कोई चीज़ ख़रीदी इस तौर पर कि समन उससे नहीं लेगी तो यह ख़रीदना दुरुस्त है और यह बच्चे के लिये हिबा क़रार पायेगा उसको यह इख़्तेयार नहीं कि बच्चे को दे। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.21:– मकान ख़रीदा और उसमें चमड़ा पकाता है या उसको चमड़े का गोदाम बनाया है जिससे पड़ोसियों को अज़िय्यत होती है अगर वक़्ती तौर पर है यह मुसीबत बरदाश्त की जा सकती है और उसका सिलसिला बराबर जारी है तो उस काम से वहाँ रोका जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.22:– बकरी का गोश्त कहकर ख़रीदा और निकला भेंड़ का या गाय का कहकर लिया और निकला भैंस का या ख़स्सी का गोश्त लिया और मालूम हुआ कि ख़स्सी का नहीं इन सब सूरतों में वापस कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरह)

मसअ्ला.23:– शीशे के बर्तन बेचने वाले से बर्तन का नर्ख़ कर रहा था उसने एक बर्तन देखने के लिये उसे दिया देख रहा था कि उसके हाथ से छूटकर दूसरे बर्तनों पर गिरा और सब टूट गये तो जो उसके हाथ से गिरकर टूटा उसका तावान नहीं और उसके गिरने से जो दूसरे टूटे उनका तावान देना पड़ेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.24:– गेहूँ में जौ मिला दिये हैं अगर जौ ऊपर ही दिखाई देते हैं तो बैअ् में हरज नहीं और उनका आटा पिसवा लिया है तो उसका बेचना जाइज़ नहीं जब तक यह ज़ाहिर न करदे कि इस में इतने गेहूँ हैं और इतने जौ। (दुर्रेमुख़्तार)

क्या चीज़ शर्ते फ़ासिद से फ़ासिद होती है और किस को शर्त पर मोअल्लक़ कर सकते हैं

तम्बीह:– क्या चीज़ शर्त से फ़ासिद होती है और क्या नहीं होती और किस को शर्त पर मुअल्लक़ कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते उसका क़ायदा कुल्लिया (आम नियम) यह है कि जब माल को माल से तबादला किया जाये वह शर्ते फ़ासिद से फ़ासिद होगा जैसे बैअ् कि शुरूते फ़ासिदा से बैअ् ना जाइज़ हो जाती है जिसका बयान पहले मज़कूर हुआ और जहाँ माल को माल से बदलना न हो वह शर्ते फ़ासिद से फ़ासिद नहीं ख़्वाह माल को गै़र माल से बदलना हो जैसे निकाह, तलाक़, खुला अ़ललमाल या अज़ क़बीले तबर्रोआत (एहसान) हो जैसे हिबा। वसियत इनमें खुद वह शुरूते फ़ासिदा ही बातिल हो जाती हैं और क़र्ज़ अगरचे इन्तेहाअन मुबादला है मगर इब्तेदाअन चूँकि तबर्रोअ् है शर्ते फ़ासिद से फ़ासिद नहीं। **दूसरा क़ायदा यह है** कि जो चीज़ अज़ क़बीले तम्लीक या तक़लीद हो उसकी शर्त पर मुअल्लक़ (डिपेन्ड) नहीं कर सकते तम्लीक की मिसाल बैअ्, इजारह, हिबा, सदक़ा, निकाह, इक़रार वग़ैरह। तक़यीद की मिसाल रजअ़त, वकील को माज़ूल करना, गुलाम के तसर्रुफ़ात रोक देना, और अगर तम्लीक व तक़ईद न हो बल्कि अज़क़बीले इसक़ात हो जैसे तलाक़ या अज़ क़बीले इलतेज़ामात (जैसे नमाज़, रोज़ा) या इतलाक़ात (जैसे गुलाम को तिजारत की इजाज़त देना) या वलायात (किसी का क़ाज़ी या ख़लीफ़ा बनाना) या तहरीज़ात (किसी काम करने को उभारना) हो तो शर्त पर मुअल्लक़ कर सकते हैं। वह चीज़ें जो शर्ते फ़ासिद से फ़ासिद होती हैं और उनको शर्त पर मुअल्लक़ नहीं कर सकते हसबे ज़ेल हैं उनमें बाज़ वह हैं कि उनकी तालीक़ दरुस्त नहीं है मगर उन में शर्त लगा सकते हैं, (1)बैअ्, (2)तक़सीम, (3)इजारा, (4)इजाज़ा (5)रजअ़त, (6)माल से सुलह, (7)दैन से इबरा यानी दैन की मुआफी, (8)मुज़ारअ़ह, (9)मुआमला, (10)इक़रार, (11)वक़्फ़, (12)तहकीम, (13)अ़ज़ले वकील, (14)एअ्तेकाफ़। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार, बहर)

मसअ्ला.25:– यह पहले बयान कर आये हैं कि शर्ते फ़ासिद से बैअ् फ़ासिद होजाती है। अगर अ़क़्द में शर्त दाख़िल नहीं है मगर बादे अ़क़्द मुत्तसेलन शर्त ज़िक्र करदी तो अ़क़्द सहीह है मसलन लकड़ियों का गड्ठा ख़रीदा और ख़रीदने में कोई शर्त न थी फ़ौरन ही यह कहा तुम्हें मेरे मकान पर पहुँचाना होगा।(रद्दुलमो)

मसअ्ला.26:– बैअ् को किसी शर्त पर मुअल्लक़ किया मसलन फुलां काम होगा या फुलां शख़्स आयेगा तो मेरे तुम्हारे दरम्यान बैअ् है यह बैअ् सहीह नहीं सिर्फ़ एक सूरत उसकी जवाज़ की है वह यह कि यूँ कहा अगर फुलां शख़्स राज़ी हुआ तो बैअ् है और उसमें तीन दिन तक की मुद्दत मज़कूर हो कि यह शर्ते ख़्यार है और अजनबी को भी ख़्यार दिया जा सकता है जिसका बयान गुज़र चुका है। (बहर)

मसअ्ला.27:– तक़सीम की सूरत यह है कि लोगों के ज़िम्मे मय्यित के दैन हैं वुरसा ने तर्का को इस तरह तक़सीम किया कि फुलां शख़्स दैन ले और बाक़ी वुरसा ऐन (जो चीज़ें मौजूद हैं) लेंगे यह तक़सीम फ़ासिद है या यूँ कि फुलां शख़्स नक़द (रूपया, अशर्फी) ले और फुलां शख़्स सामान या उस शर्त से तक़सीम की कि फुलां उसका मकान हज़ार रूपये में ख़रीदले या फुलां चीज़ हिबा करदे या सदक़ा करदे यह सब सूरतें फ़ासिद हैं और अगर यूँ तक़सीम हुई कि फुलां को हिस्सा से फुलां चीज़ ज़ायद दी जाये या मकान तक़सीम हुआ और एक के ज़िम्मा कुछ रूपये कर दिये गये कि इतने रूपये शरीक को दे यह तक़सीम जाइज़ है। (बहर)

मसअ्ला.28:– इजारा की सूरत यह है कि यह मकान तुमको किराये पर दिया अगर फुलां शख़्स कल आजाये या इस शर्त से कि किरायादार इतना रूपया क़र्ज़ दे या यह चीज़ हदिया करे यह इजारह फ़ासिद है, दुकान किराये पर दी और शर्त यह की कि किरायेदार उसकी तामीर या मरम्मत कराये या दरवाज़ा लगवाये या कहगिल कराये और जो कुछ ख़र्च हो किराये में मुजरा करे इस तरह इजारह फ़ासिद है किरायादार पर दुकानदार का वाजिबी किराया जो होना चाहिये वह वाजिब

है वह नहीं जो बाहम तय हुआ और जो कुछ मरम्मत कराने में ख़र्च हुआ वह लेगा बल्कि निगरानी और बनवाने की उजरत मिस्ल भी पायेगा। (बहर)

मसअ्ला.29:– एक शख़्स ने दूसरे का मकान ग़सब कर लिया मालिक ने ग़ासिब से कहा मेरा मकान ख़ाली करदे वरना इतने रूपये माहवार किराया लूंगा यह इजारह सहीह है और यह सूरत उस क़ायदा से मुस्तसना है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.30:– इजाज़त की मिसाल यह है कि बालिग़ा औरत का उसके वली या फ़ुज़ूली ने निकाह कर दिया जो उसकी इजाज़त पर मौक़ूफ़ है उसको निकाह की ख़बर दीगई तो यह कहा मैंने उस निकाह को जाइज़ किया अगर मेरी माँ भी उसको पसन्द करे यह इजाज़त नहीं हुई यूंही फ़ुज़ूली ने किसी की चीज़ बेच डाली मालिक को ख़बर हुई तो उसने इजाज़त मशरूत दी या इजाज़त को किसी शर्त पर मुअल्लक़ किया तो इजाज़त न हुई। यूंही जो चीज़ ऐसी हो कि उसकी तालीक़ शर्त पर न हो सकती हो अगर उसको इस तरह मुनअक़िद किया कि किसी की इजाज़त पर मौक़ूफ़ हो और इजाज़त देने वाले ने इजाज़त को शर्त पर मुअल्लक़ कर दिया तो इजाज़त नहीं हुई। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.31:– सुलह की मिसाल यह है कि एक शख़्स का दूसरे पर कुछ माल आता है कुछ देकर दोनों में मुसालहत होगई ज़ाहिर में यह सुलह है मगर माना के लिहाज़ से बैअ् है लिहाज़ा शर्त के साथ इस क़िस्म की सुलह सहीह नहीं मसलन यह कहा कि मैंने सुलह की इस शर्त से कि तू अपने मकान में मुझे एक साल तक रहने दे या सुलह की अगर फ़ुलां शख़्स आजाये यह सुलह फ़ासिद है, यह बैअ् उस वक़्त है जब ग़ैर जिन्स पर सुलह हो अगर उसी जिन्स पर सुलह हुई तो तीन सूरतें हैं अगर कम पर हुई मसलन सौ आते थे पचास पर हुई तो इबरा है यानी पचास मुआफ़ कर दिये और इतने ही पर हुई तो आता हुआ पा लिया और ज़ाइद पर हुई सूद व हराम है।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.32:– इबरा (मुआफ़ करना) अगर शर्ते मुतआरफ़ (जो शर्त लोगों में मशहूर हो) से मशरूत हो या ऐसे अम्र पर मुअल्लक़ किया जो फ़िलहाल मौजूद है तो इबरा सहीह है मसलन यह कहा कि अगर मेरे शरीक को उसका हिस्सा तूने दे दिया तो बाक़ी दैन मुआफ़ है उसने शरीक को देदिया बाक़ी दैन मुआफ़ होगया या यह कहा अगर तुझ पर मेरा दैन है तो मुआफ़ है और वाक़ेअ् में दैन है तो मुआफ़ होगया और अगर शर्ते मुतआरफ़ न हो तो मुआफ़ नहीं मसलन मैंने दैन मुआफ़ कर दिया अगर फ़ुलां शख़्स आजाये या मैंने मुआफ़ किया इस शर्त पर कि एक माह तू मेरी ख़िदमत करे या अगर तू घर में गया तो दैन मुआफ़ है अगर तूने पाँच सौ दे दिये तो बाक़ी मुआफ़ है अगर तू क़सम खा जाये तो दैन मुआफ़ है इन सब सूरतों में मुआफ़ न होगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.33:– इबरा की तालीक़ अपनी मौत पर सहीह है और यह वसियत के माना में है मसलन मदयून से कहा अगर मैं मर जाऊँ तो तुझपर जो दैन है वह मुआफ़ है या मुआफ़ हो जायेगा और अगर यह कहा कि तू मर जाये तो दैन मुआफ़ है यह इबरा सहीह नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.34:– जिसको एअ्तेकाफ़ में बैठना है वह यूँ नियत करता है कि एअ्तेकाफ़ की नियत करता हूँ इस शर्त के साथ कि रोज़ा नहीं रखूंगा या जब चाहूँगा हाजत व बेहाजत मस्जिद से निकल जाऊँगा यह एअ्तेकाफ़ सहीह नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.35:– खेत या बाग़ इजारह पर दिया और ना'मुनासिब शर्ते लगाई तो यह इजारह फ़ासिद है मसलन यह शर्त कि काम करने वालों के मसारिफ़ ज़मीन का मालिक देगा मुज़ारअत को फ़ासिद कर देता है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.36:– इक़रार की सूरत यह है कि उसने कहा फ़ुलां का मुझ पर इतना रूपया है अगर वह मुझे इतना रूपया कर्ज़ दे या फ़ुलां शख़्स आजाये यह इक़रार सहीह नहीं, एक शख़्स ने दूसरे पर माल का दावा किया उसने कहा अगर कल मैं न आया तो वह माल मेरे ज़िम्मे है और नहीं आया यह इक़रार सहीह नहीं, या एक ने दावा किया दूसरे ने कहा अगर क़सम खा जाये तो मैं देनदार हूँ

उसने क़सम खाली मगर अब भी इनकार करता है तो उस इक़रारे मशरूत की वजह से उससे मुतालबा नहीं हो सकता। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.37:– इक़रार को कल आने पर मुअ़ल्लक़ किया या अपने मरने पर मुअ़ल्लक़ किया यह तालीक़ दुरूस्त है मस्लन उसके मुझपर हज़ार रूपये हैं जब कल आजाये या महीना ख़त्म होजाये या ईदुलफ़ित्र आजाये कि यह हक़ीक़तन तालीक़ नहीं बल्कि अदाये दैन का वक़्त है या कहा फ़ुलां के मुझपर हज़ार रूपये हैं अगर मैं मर जाऊँ यह भी हक़ीक़तन तालीक़ नहीं बल्कि लोगों के सामने यह ज़ाहिर करना है कि मेरे मरने के बाद वुरसा देने से इनकार करें तो लोग गवाह रहें कि यह दैन मेरे ज़िम्मे है यह इक़रार सहीह है और रूपये फ़िलहाल वाजिबुल'अदा है मरे या ज़िन्दा रहे रूपया बहर हाल उसके ज़िम्मे है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.38:– तहकीम यानी किसी को पंच बनाना उसको शर्त पर मुअ़ल्लक़ किया मस्लन यह कहा जब चांद होजाये तो तुम हमारे दरम्यान में पंच हो यह तहकीम सहीह नहीं। (दुर्रेमुख़्तार) बाज़ वह चीज़ें हैं कि शर्ते फ़ासिद से फ़ासिद नहीं होतीं बल्कि बा'वजूद ऐसी शर्त के वह चीज़ सहीह होती है वह यह हैं। (1)क़र्ज़, (2)हिबा, (3)निकाह, (4)तलाक़, (5)ख़ुला, (6)सदक़ा, (7)इत्क़, (8)रहन, (9)ईसा (वसियत करना) (10)वसियत, (11)शिरकत, (12)मुज़ारबत, (13)क़ज़ा, (14)अमारात, (15)किफ़ाला, (16)हवाला, (17)वकालत, (18)इक़ाला, (19)किताबत, (20)गुलाम को तिजारत की इजाज़त, (21) लोन्डी से जो बच्चा पैदा हो उसकी निस्बत यह दावा कि मेरा है, (22)क़स्दन क़त्ल किया है उससे मुसालहत, (23)किसी को मजरूह किया है उससे सुलह, (24)बादशाह का कुफ़्फ़ार को ज़िम्मा देना, (25)मबीअ् में ऐब पाने की सूरत में उसके वापस करने को शर्त पर मुअ़ल्लक़ करना, (26)ख़्यारे शर्त में वापसी को मुअ़ल्लक़ पर शर्त करना, (27)क़ाज़ी की माज़ूली।

जिन चीजों को शर्त पर मुअ़ल्लक जाइज़ है वह इस्क़ाते महज़ हैं जिनके साथ हल्फ़ (क़सम) कर सकते हैं जैसे तलाक़, इताक़, और वह इल्तिज़ामात हैं जिनके साथ हलफ़ कर सकते हैं जैसे नमाज़, रोज़ा, हज, और तौलियात यानी दूसरे को वली बनाना मस्लन क़ाज़ी या बादशाह व ख़लीफ़ा मुक़र्रर करना।

वह चीज़ें जिनकी इज़ाफ़त ज़मान–ए–मुस्तक़बिल की तरफ़ हो सकती है (1)इजारह, (2)फ़स्ख़े इजारह (3)मुज़ारबत (4)मुआमला (5)मुज़ारआ (खेती किराये पर लेना) (6)वकालत (7)किफ़ालत (8)ईसा (9)वसिय्यत (10)क़ज़ा (11)अमारत (12)तलाक़ (13)इताक़ (14)वक़्फ़, (15)आरियत, (16)इज़्ने तिजारत

वह चीज़ें जिनकी इज़ाफ़त मुस्तक़बिल की तरफ़ सहीह नहीं (1)बैअ्, (2)बैअ् की इजाज़त (3)उसका फ़स्ख़ (4)क़िस्मत (5)शिरकत (6)हिबा (7)निकाह (8)रजअत (9)माल से सुलह (10)दैन से इबरा।

बैअ् सर्फ़ का बयान

हदीस् (1) सहीहैन में अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया "सोने को सोने के बदले में न बेचो मगर बराबर बरादर और बाज़ को बाज़ पर ज़्यादा न करो और चांदी को चांदी के बदले में न बेचो मगर बराबर बराबर और बाज़ को बाज़ पर ज़्यादा न करो और उनमें उधार को नक़द से साथ न बेचो और एक रिवायत में है कि सोने को सोने के बदले में और चांदी को चांदी के बदले में न बेचो मगर वज़न के साथ बराबर करके"।

हदीस् (2) सहीह मुस्लिम शरीफ़ में है फ़ुज़ालह बिन उ़बैद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु कहते हैं मैंने ख़ैबर के दिन बारह दीनार का एक हार ख़रीदा था जिसमें सोना था और पूत मैंने दोनों चीज़ें जुदा कीं तो बारह दीनार से ज़्यादा सोना निकला उसको मैंने नबी करीम सलल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम से ज़िक्र किया इरशाद फ़रमाया "जब तक जुदा न कर लिया जाये बेचा न जाये"।

हदीस् (3) इमाम मालिक व अबूदाऊद व तिर्मिज़ी वग़ैरहुम अबिल हदसान से रावी कहते हैं कि मैं सौ अशर्फ़ियाँ तुड़ाना चाहता था तलहा बिन उ़बैदुल्लाह रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने मुझे बुलाया और

हम दोनों की रज़ा'मन्दी होगई और बैअे सर्फ़ होगई उन्होंने सोना मुझसे ले लिया और उलट पलट कर देखा और कहा उसके रूपये उस वक़्त मिलेंगें जब मेरा ख़ाज़िन ग़ाबा से आजाये हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु सुन रहे थे उन्होंने फ़रमाया उससे जुदा न होना जब तक रूपया वुसूल न कर लेना फिर कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है "सोना चांदी के बदले में बेचना सूद है मगर जबकि दस्त'बदस्त हो"।

मसअ्ला.1:– सर्फ़ के मा'ना हम पहले बता चुके हैं या'नी समन को समन से बेचना, सर्फ़ में कभी जिन्स का तबादला जिन्स से होता है जैसे रूपये से चांदी ख़रीदना या चांदी की रेज़गारियाँ ख़रीदना, सोने को अशरफ़ी से ख़रीदना, और कभी ग़ैर जिन्स से तबादला होता है जैसे रूपये से सोना या अशर्फ़ी ख़रीदना।

मसअ्ला.2:– समन से मुराद आम है कि वह समन ख़लक़ी हो या'नी इसी लिये पैदा किया गया हो चाहे उसमें इन्सानी सन्अत (इन्सानी कारीगरी) भी दाख़िल हो या न हो चांदी, सोना और उनके सिक्के और ज़ेवरात यह सब समने ख़लक़ी में दाख़िल हैं दूसरी क़िस्म ग़ैर ख़लक़ी जिसको समने इस्तेलाही भी कहते हैं यह वह चीज़ें हैं कि समनियत के लिये मख़्लूक़ नहीं है मगर लोग उनसे समन का काम लेते हैं समन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे पैसा, नोट, निकल की रेज़गारियाँ कि यह सब इस्तेलाही समन हैं रूपये के पैसे भुनाये जायें या रेज़गारियाँ ख़रीदी जायें यह सर्फ़ में दाख़िल है।

मसअ्ला.3:– चांदी की चांदी से या सोने की सोने से बैअ् हुई या'नी दोनों तरफ़ एक ही जिन्स है तो शर्त यह है कि दोनों वज़न में बराबर हों और उसी मज्लिस में दस्त'बदस्त क़ब्ज़ा हो या'नी हर एक दूसरे की चीज़ अपने फ़ेअ्ल से क़ब्ज़ा में लाये अगर आक़ेदैन ने हाथ क़ब्ज़ा नहीं किया बल्कि फ़र्ज़ करो अक़्द के बाद वहाँ अपनी चीज़ रखदी और उसकी चीज़ लेकर चला आया यह काफ़ी नहीं है और इस तरह करने से बैअ् ना'जाइज़ होगी बल्कि सूद हुआ और दूसरे मवाक़ेअ् में तख़लिया क़रार पाता है और काफ़ी होता है वज़न बराबर होने के यह मा'ना कि कांटे या तराज़ू के दोनों पल्ले में दोनों बराबर हों अगरचे यह मा'लूम न हो कि दोनों का वज़न क्या है। (आलमगीरी) बराबरी से मुराद यह कि आक़ेदैन के इल्म में दोनों चीज़ें बराबर हों यह मतलब नहीं कि हक़ीक़त में बराबर होना चाहिये उनको बराबर होना मा'लूम हो या न हो लिहाज़ा अगर दोनों जानिब की चीज़ें बराबर थीं मगर उनके इल्म में यह न थी बैअ् ना'जाइज़ है हाँ अगर उसी मज्लिस में दोनों पर यह बात ज़ाहिर हो जाये कि बराबर हैं तो जाइज़ हो जायेगी। (फ़तहुलक़दीर)

मसअ्ला.4:– इत्तेहादे जिन्स की सूरत में खरे खोटे होने का कुछ लिहाज़ न होगा या'नी यह नहीं हो सकता कि जिधर खरा माल है उधर कम हो और जिधर खोटा हो ज़्यादा हो कि इस सूरत में भी कमी बेशी सूद है।

मसअ्ला.5:– इसका भी लिहाज़ नहीं होगा कि एक में सनअत है और दूसरा चांदी का ढेला है या एक सिक्का है और दूसरा वैसा ही है अगर इन इख़्तेलाफ़ात की वजह से कम व बेश किया तो हराम व सूद है मस्लन एक रूपया की डेढ़ दो रूपये भर इस ज़माने में चांदी बिकती है और आम तौर पर लोग रूपया से ही ख़रीदते हैं और इस में अपनी ना'वाक़िफ़ी की वजह से कुछ हरज नहीं जानते हालांकि यह सूद है और बिलइजमाअ् हराम है इस लिये फ़ुक़हा यह फ़रमाते हैं कि अगर सोने चांदी का ज़ेवर किसी ने ग़सब किया और ग़ासिब ने उसे हलाक कर डाला तो उसका तावान ग़ैरे जिन्स से दिलाया जाये या'नी सोने की चीज़ है तो चांदी से दिलाया जाये और चांदी की है तो सोने से क्योंकि उसी जिन्स से दिलाने में मालिक का नुक़सान है और बनवाई वग़ैरा का लिहाज़ करके कुछ ज़्यादा दिलाया जाये तो सूद है यह देनी नुक़सान है। (हिदाया, फ़तह, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.6:– अगर दोनों जानिब एक जिन्स न हो बल्कि मुख़्तलिफ़ जिन्सें हों तो कमी बेशी में कोई

हरज नहीं मगर तक़ाबुज़े बदलैन (क़ीमत और माल पर क़ब्ज़ा) ज़रूरी है अगर तक़ाबुज़े बदलैन से क़ब्ल मज्लिस बदल गई तो बैअ़ बातिल होगई, लिहाज़ा सोने को चाँदी से या चाँदी को सोने से ख़रीदने में दोनों जानिब को वज़न करने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि वज़न तो इसलिये करना ज़रूरी था कि दोनों का बराबर होना मालूम होजाये और जब बराबरी शर्त नहीं तो वज़न भी ज़रूरी न रहा सिर्फ़ मज्लिस में क़ब्ज़ा करना ज़रूरी है। अगर चाँदी ख़रीदनी हो और सूद से बचना हो तो रूपये से मत ख़रीदो गिन्नी (सोने का एक अंग्रेज़ी सिक्का) या नोट या पैसों से ख़रीदो। दैन व दीनार दोनों के नुक़सान से बचोगे। यह हुक्म स्मने ख़ल्क़ी यानी सोने चाँदी का है अगर पैसों से चांदी ख़रीदी तो मज्लिस में एक का क़ब्ज़ा ज़रूरी है दोनों जानिब से क़ब्ज़ा ज़रूरी नहीं क्योंकि उनकी स्मनियत मन्सूस नहीं जिसका लिहाज़ ज़रूरी हो आक़ेदैन अगर चाहें तो उनकी स्मनियत को बातिल करके जैसे दूसरी चीज़ें ग़ैर समन है उनको भी ग़ैर समन क़रार दे सकते हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मज्लिस बदलने के यहाँ यह माना हैं कि दोनों जुदा होजायें एक, एक तरफ़ चला जाये और दूसरा, दूसरी तरफ़ या एक वहाँ से चला जाये और दूसरा वहीं रहे और अगर यह दोनों सूरतें न हों तो मज्लिस नहीं बदली अगरचे कितनी ही तवील मज्लिस हो अगरचे दोनों वहीं सो जायें या बेहोश होजायें बल्कि अगरचे दोनों वहाँ से चलदें मगर साथ—साथ जायें ग़रज़ यह कि जब तक दोनों में जुदाई न हो क़ब्ज़ा हो सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:— एक ने दूसरे के पास कहला भेजा कि मैंने तुमसे इतने रूपये की चाँदी या सोना ख़रीदा दूसरे ने क़बूल किया यह अ़क़्द दुरुस्त नहीं कि तक़ाबुज़े बदलैन मज्लिसे वाहिद में यहाँ नहीं हो सकता। (आ़लमगीरी) ख़त व किताबत के ज़रिये से भी बैअ़े सर्फ़ नहीं हो सकती।

मसअ्ला.8:— बैअ़ सर्फ़ अगर सहीह हो तो उसके दोनों एवज़ मुअ़य्यन करने से भी मुअ़य्यन नहीं होते फ़र्ज़ करो एक शख़्स ने दूसरे के हाथ एक रूपया एक रूपये के बदले में बैअ़ किया और उन दोनों के पास रूपया न था मगर उसी मज्लिस में दोनों ने किसी और से क़र्ज़ लेकर तक़ाबुज़े बदलैन किया तो अ़क़्द सहीह रहा या मसलन इशारा करके कहा कि मैंने इस रूपये को इस रूपये के बदले में बेचा और जिसकी तरफ़ इशारा किया उसे अपने पास रख लिया दूसरा उसकी जगह दिया जब भी सहीह है। (दुर्रेमुख़्तार) यह उस वक़्त है कि सोना या चाँदी या सिक्के हों और बनी हुई चीज़ मस्लन बर्तन, ज़ेवर उनमें तअ़य्युन होता है।

मसअ्ला.9:— बैअ़ सर्फ़ ख़्यारे शर्त से फ़ासिद होजाती है। यूंही अगर किसी जानिब से अदा करने की कोई मुद्दत मुक़र्रर हुई मस्लन चाँदी आज ली और रूपये कल देने को कहा यह अ़क़्दे फ़ासिद है हाँ अगर उसी मज्लिस में ख़्यारे शर्त और मुद्दत को साक़ित (ख़त्म) कर दिया तो अ़क़्द सहीह होजायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:— सोने, चाँदी की बैअ़ में अगर किसी तरफ़ उधार हो तो बैअ़ फ़ासिद है अगरचे उधार वाले ने जुदा होने से पहले उसी मज्लिस में कुछ अदा करदिया जब भी कुल की बैअ़ फ़ासिद है मस्लन पन्द्रह रूपये की गिन्नी ख़रीदी और रूपया दस दिन के बाद देने को कहा मगर उसी मज्लिस में दस रूपये देदिये जब भी पूरी ही बैअ़ फ़ासिद है यह नहीं कि जितना दिया उसकी मिक़दार में जाइज़ होजाये हाँ अगर वहीं कुल रूपये देदिये तो पूरी बैअ़ सहीह है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:— सोने चाँदी की कोई चीज़ बर्तन, ज़ेवर, वग़ैरा ख़रीदी तो ख़्यारे ऐब व ख़्यारे रूयत हासिल होगा। रूपये अशर्फ़ी में ख़्यारे रूयत तो नहीं मगर ख़्यारे ऐब है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.12:— अ़क़्द होजाने के बाद अगर कोई शर्त फ़ासिद पाई गई तो उसको अस्ल अ़क़्द से मुलहक़ करेंगे यानी उसकी वजह से वह अ़क़्द जो सहीह हुआ था फ़ासिद होगया मस्लन रूपये से चाँदी ख़रीदी और दोनों तरफ़ वज़न भी बराबर है और उसी मज्लिस में तक़ाबुज़े बदलैन भी होगया फिर एक ने कुछ ज़्यादा कर दिया या कम कर दिया मस्लन रूपये का सवा रूपया या बारह आने कर दिया और दूसरे ने क़बूल कराया वह पहला अ़क़्द फ़ासिद होगया। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.13:– पन्द्रह रूपये की अशर्फ़ी ख़रीदी और रूपये देदिये अशर्फ़ी पर क़ब्ज़ा कर लिया उन में एक रूपया ख़राब था अगर मज्लिस नहीं बदली है वह रूपया फेरदे दूसरा लेले और जुदा होने के बाद उसे मालूम हुआ कि एक रूपया ख़राब है उसने वह रूपया फेर दिया तो उस एक रूपये के मक़ाबिल में बैअ् सर्फ़ जाती रही अब यह नहीं हो सकता है कि उसके बदले में दूसरा रूपया ले बल्कि उस अशर्फ़ी में एक रूपये की मिक़दार का यह शरीक है। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.14:– बदले सर्फ़ पर जब तक क़ब्ज़ा न किया हो उसमें तसर्रुफ़ नहीं कर सकता अगर उसने उस चीज़ को हिबा कर दिया या सदक़ा कर दिया या मुआफ़ कर दिया और दूसरे ने क़बूल कर लिया बैअ् सर्फ़ बातिल होगई और अगर रूपये से अशर्फ़ी ख़रीदी और अभी अशर्फ़ी पर क़ब्ज़ा भी नहीं किया और उसी अशर्फ़ी की कोई चीज़ ख़रीदी यह बैअ् फ़ासिद है और बैअ् सर्फ़ बदस्तूर सहीह है यानी अब भी अगर अशर्फ़ी पर क़ब्ज़ा कर लिया तो सहीह है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला.15:– एक कनीज़ जिसकी क़ीमत एक हज़ार है और उस के गले में एका हज़ार का तौक़ (हार) पड़ा है दोनों को दो हज़ार में ख़रीदा और एक हज़ार उसी वक़्त देदिया और एक हज़ार बाक़ी रखा तो यह जो अदा कर दिया तौक़ का समन क़रार दिया जायेगा अगरचे उसकी तसरीह न की हो या यह कह दिया कि दोनों के समन में एक हज़ार लो यूंही अगर बैअ् में एक हज़ार नक़द देना क़रार पाया है और एक हज़ार उधार तो जो नक़द देना ठहरा है तौक़ का समन है यूंही अगर सौ रूपये में तलवार ख़रीदी जिसमें पचास रूपये का चाँदी का सामान लगा है और उसी मज्लिस में पचास देदिये तो यह उस सामान का समन क़रार पायेगा या अक़्द ही में पचास रूपये नक़द और पचास उधार देना क़रार पाया तो यह पचास चांदी के हैं अगरचे तसरीह न की हो या कह दिया हो कि दोनों के समन में पचास लेलो बल्कि कह दिया हो कि तलवार के समन में से पचास रूपये वुसूल करो क्योंकि वह आराइश की चीज़ें तलवार के ताबेअ् हैं तलवार बोलकर वह सब ही कुछ मुराद लेते हैं न कि महज़ लोहे का फल अलबत्ता अगर यह कह दिया कि यह ख़ास तलवार का समन है तो बैअ् फ़ासिद हो जायेगी। और अगर उस मज्लिस में तौक़ और तलवार की आराइश का समन भी अदा नहीं किया गया और दोनों मुतफ़र्रिक़ होगये तो तौक़ व आराइश की बैअ् फ़ासिद हो गई लोन्डी की सहीह है और तलवार की आराइश बिला ज़रर उससे अलग हो सकती है तो तलवार की सहीह है वरना उसकी भी बातिल। (हिदाया)

मसअ्ला.16:– तलवार में जो चाँदी है उसको समन की चाँदी से कम होना ज़रूरी है अगर दोनों बराबर हैं या तलवार वाली समन से ज़्यादा हो या मालूम न हो कि कौन ज़्यादा है कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है तो इन सूरतों में बैअ् दुरुस्त ही नहीं पहली दोनों सूरतों में यक़ीनन सूद है और तीसरी सूरत में सूद का इहतिमाल (शक) है और यह भी हराम है उसका क़ायदा कुल्लिया यह है कि जब ऐसी चीज़ जिसमें सोने चाँदी के तार या पत्तर लगे हों उसको उसी जिन्स से बैअ् किया जाये तो समन की जानिब उससे ज़्यादा सोना या चाँदी होना चाहिये जितना उस चीज़ में है ताकि दोनों तरफ़ की चांदी या सोना बराबर करने के बाद समन की जानिब में कुछ बचे जो उस चीज़ के मक़ाबिल में हो अगर ऐसा न हो तो सूद और हराम है और अगर ग़ैर जिन्स से बैअ् हो मसलन उस में सोना है और समन रूपये हैं तो फ़क़त तक़ाबुज़े बदलैन (दोनों तरफ़ क़ब्ज़ा) शर्त है। (दुर्रेमुख़्तार, फ़तहुलक़दीर)

मसअ्ला.17:– लचका, गोटा अगरचे रेशम से बुना जाता है मगर मक़सूद उसमें रेशम नहीं होता और वज़न से ही बिकता भी है लिहाज़ा दोनों जानिब वज़न बराबर होना ज़रूरी है लैस, पैमक वग़ैरह का भी यही हुक्म है।

मसअ्ला.18:– बाज़ कपड़ों में चाँदी के बादले (चाँदी के चपटे तार) बुने जाते हैं। आंचल और किनारे होते हैं जैसे बनारसी इमामा और बाज़ में दरम्यान में फूल होते हैं जैसे गुलबदन (मुख़्तलिफ़ बनावट का धारीदार और फूलदार रेशमी और सूती कपड़ा) इस में ज़री के काम को ताबेअ् क़रार देंगे क्योंकि शरीअ़त

ने इसके इस्तेमाल को जाइज़ किया है इसकी बैअ् में समन की चाँदी ज़्यादा होना शर्त नहीं।

मसअ्ला.19:– जिस चीज़ में सोने चांदी का मुलम्मा (जिसपर सोने चाँदी का पानी चढ़ाया गया हो) हो उसके समन का मुलम्मा की चाँदी से ज़्यादा होना शर्त नहीं और उसी मज्लिस में इतनी चाँदी पर क़ब्ज़ा करना भी शर्त नही मसलन बर्तन पर चाँदी का मुलम्मा है उसको मुलम्मा की चांदी से कम क़ीमत पर बैअ् किया या उसी मज्लिस में समन पर क़ब्ज़ा न किया जाइज़ है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.20:– मुलम्मा में बहुत ज़्यादा चाँदी है कि आग पर पिघलाकर इतनी निकाल सकते हैं जो तोलने में आये यह क़ाबिले एअ्तिबार है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.21:– चाँदी के बरतन को रूपये या अशर्फ़ी के एवज़ में बैअ् किया थोड़े से दाम मज्लिस में देदिये बाक़ी, बाक़ी हैं और आक़िदैन में इफ़तिराक़ (जुदाई होना) हो गया तो जितने दाम दिये हैं उसके मक़ाबिल में बैअ् सहीह है और बाक़ी बातिल और बरतन में बाइअ् व मुश्तरी दोनों शरीक हैं और मुश्तरी को ऐब शिरकत की वजह से यह इख़्तेयार नहीं कि वह हिस्सा भी फेर दे क्योंकि यह ऐब मुश्तरी के फ़ेअ्ल व इख़्तेयार से है उसने पूरा दाम उसी मज्लिस में क्यों नहीं दिया और अगर उस बर्तन में कोई हक़दार पैदा होगया उसने एक जुज़ अपना साबित करदिया तो मुश्तरी को इख़्तेयार है कि बाक़ी को ले या न ले क्योंकि इस सूरत में ऐब शिरकत में उसके फ़ेअ्ल से नहीं। (हिदाया, फ़तहुलक़दीर) फिर अगर मुस्तहिक़ ने अक़्द को जाइज़ करदिया तो जाइज़ होजायेगा और उतने समन का वह मुस्तहिक़ है बाइअ् मुश्तरी से लेकर उसको दे बशर्ते कि बाइअ् व मुश्तरी इजाज़ते मुस्तहिक़ से पहले जुदा न हुए हों खुद मुस्तहिक़ के जुदा होने से अक़्द बातिल नहीं होगा कि वह आक़िद नहीं है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.22:– चाँदी या सोने का टुकड़ा ख़रीदा उसके किसी जुज़ में दूसरा हक़दार पैदा होगया तो जो बाक़ी है वह मुश्तरी है और समन भी उतने ही का मुश्तरी के ज़िम्मे है और मुश्तरी को यह हक़ हासिल नहीं है कि बाक़ी को भी न ले क्योंकि उसके टुकड़े करने में किसी का कोई नुक़सान नहीं यह उस सूरत में है कि क़ब्ज़ा के बाद हक़दार का हक़ साबित हो और अगर क़ब्ज़ा से पहले उसने अपना हक़ साबित कर दिया तो मुश्तरी को यहाँ भी इख़्तेयार हासिल होगा कि ले या न ले रूपये और अशर्फ़ी का भी यही हुक्म है कि मुश्तरी को इख़्तेयार नहीं मिलता। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार) मगर ज़मान–ए–साबिक़ में यह रिवाज था कि रूपये और अशर्फ़ी के टुकड़े करने में कोई नुक़सान न था इस ज़माने में हिन्दुस्तान के अन्दर अगर रूपये के टुकड़े कर दिये जायें तो वैसा ही बेकार तसव्वुर किया जायेगा जैसा बर्तन के टुकड़े कर देने से लिहाज़ा यहाँ रूपये का वही हुक्म होना चाहिये जो बर्तन का है।

मसअ्ला.23:– दो रूपये और एक अशर्फ़ी को एक रूपया दो अशर्फ़ियों से बेचना दुरुस्त है रूपये के मक़ाबिल में अशर्फ़ियाँ तसव्वुर करें और अशर्फ़ी के मक़ाबिल में रूपया यूंही दो मन गेहूँ और एक मन जौ को एक मन गेहूँ और दो मन जौ के बदले में बेचना भी जाइज़ है और अगर ग्यारह रूपये को दस रूपये और एक अशर्फ़ी के बदले में बैअ् किया है दस रूपये के मक़ाबिल में दस रूपये हैं और एक रूपये के मक़ाबिल में अशर्फ़ी यह दोनों दो जिन्स हैं इन में कमी बेशी दुरुस्त है और अगर एक रूपया और एक थान को एक रूपया और एक थान के बदले में बेचा और रूपया पर तरफ़ैन ने क़ब्ज़ा न किया तो बैअ् सहीह न रही। (हिदाया)

मसअ्ला.24:– सोने को सोने से या चाँदी को चाँदी से बैअ् किया इनमें एक कम है एक ज़्यादा मगर जो कम है उसके साथ कोई ऐसी चीज़ शामिल करली जिसकी कुछ क़ीमत हो तो बैअ् जाइज़ है फिर अगर उसकी क़ीमत इतनी है जो ज़ायद के बराबर है तो कराहत भी नहीं वरना कराहत है और अगर उसकी क़ीमत ही न हो जैसे मिट्टी का ढेला तो बैअ् जाइज़ ही नहीं। (हिदाया) रूपये से चाँदी ख़रीदना चाहते हों और चाँदी सस्ती हो अगर बराबर लेते हैं नुक़सान होता है ज़्यादा लेते हैं

सूद होता है तो रूपये के साथ पैसे शामिल करलें बैअ़ जाइज़ हो जायेगी।
मसअ्ला.25:– सुनार के यहाँ की राख ख़रीदी अगर चाँदी की राख है और चाँदी से ख़रीदी या सोने की है और सोने से ख़रीदी तो ना'जाइज़ है क्योंकि मा'लूम नहीं कि राख में कितना सोना या चाँदी है और अगर अ़क्स किया या'नी चाँदी की राख को सोने से और सोने की चाँदी से ख़रीदा तो दो सूरतें हैं अगर उसमें सोना ज़ाहिर है तो जाइज़ वरना ना'जाइज़ और जिस सूरत में बैअ़ जाइज़ है मुश्तरी को देखने के बा'द इख़्तेयार हासिल होगा। (फ़तहुलक़दीर)
मसअ्ला.26:– एक शख़्स के दूसरे पर पन्द्रह रूपये हैं मदयून (क़र्ज़ मन्द) ने दाइन (क़र्ज़ देने वाला) के हाथ एक अशर्फ़ी पन्द्रह रूपये में बेची और अशर्फ़ी देदी और उसके स़मन और दैन में मुक़ास्सा कर लिया या'नी अदला बदला कर लिया कि यह पन्द्रह के अ़दद पन्द्रह के मक़ाबिल में होगये जो मेरे ज़िम्मा बाक़ी थे ऐसा करना स़हीह़ है और अगर अ़क़्द ही में यह कहा कि अशर्फ़ी उन रूपयों के बदले में बेचता हूँ जो मेरे ज़िम्मे तुम्हारे हैं तो मुक़ास्सा की भी ज़रूरत नहीं यह उस सूरत में है कि दैन पहले का हो और अगर अशर्फ़ी बेचने के बा'द का दैन हो मस्लन पन्द्रह में अशर्फ़ी बेची फिर उसी मज्लिस में उससे पन्द्रह रूपये के कपड़े ख़रीदे और अशर्फ़ी देदी अशरफ़ी और कपड़े के स़मन में मुक़ास्सा कर लिया यह भी दुरुस्त है। (हिदाया)
मसअ्ला.27:– चाँदी सोने में मैल हो मगर सोना चाँदी ग़ालिब हो तो सोना चाँदी ही क़रार पायेंगे जैसे रूपया और अशर्फ़ी कि ख़ालिस़ चाँदी सोना नहीं है मैल ज़रूर है मगर कम है इस वजह से अब भी इन्हें चाँदी, सोना ही समझेंगे और उनकी जिन्स से बैअ़ हो तो वज़न के साथ बराबर करना ज़रूरी है और क़र्ज़ लेने में भी उनके वज़न का एअ़तिबार होगा। इनमें खोट ख़ुद मिलाया हो जैसे रूपये अशर्फ़ी में ढलने के वक़्त खोट मिलाते हैं या मिलाया नहीं है बल्कि पैदाइशी है कान से जब निकाले गये उसी वक़्त उस में आमेज़िश (मिलावट) थी दोनों का एक हुक्म है। (हिदाया, आलमगीरी)
मसअ्ला.28:– सोने चाँदी में इतनी आमेज़िश है कि खोट ग़ालिब है तो ख़ालिस़ के हुक्म में नहीं और उनका हुक्म यह है कि अगर ख़ालिस़ सोने, चाँदी से उनकी बैअ़ करें तो यह चाँदी उससे ज़्यादा होनी चाहिये जितनी चाँदी उस खोटी चाँदी में है ताकि चाँदी के मुक़ाबिले में चाँदी हो जाये और ज़्यादती खोट के मक़ाबिल में हो और तक़ाबुज़ शर्त़ है क्योंकि दोनों त़रफ़ चाँदी है और अगर ख़ालिस़ चाँदी उसके मक़ाबिल में उतनी ही है जितनी उसमें है या उससे भी कम है या मा'लूम नहीं कम है या ज़्यादा तो बैअ़ जाइज़ नहीं कि पहली दो सूरतों में खुला हुआ सूद है और तीसरी में सूद का एह़तिमाल है। (हिदाया)
मसअ्ला.29:– जिस में खोट ग़ालिब है उसकी बैअ़ उसके जिन्स के साथ हो या'नी दोनों त़रफ़ उसी त़रह़ की खोटी चाँदी हो तो कमी बेशी भी दुरुस्त है क्योंकि दोनों जानिब दो क़िस्म की चीज़ें हैं चाँदी भी है और कांसा भी, हो सकता है कि हर एक को ख़िलाफ़े जिन्स के मक़ाबिल में करें मगर जुदा होने से पहले दोनों का क़ब्ज़ा होना ज़रूरी है और इसमें कमी बेशी अगरचे सूद नहीं मगर इस क़िस्म के सिक्के जहाँ चलते हों उन में मशायख़े किराम कमी बेशी का फ़तवा नहीं देते क्योंकि इससे सूदख़ोरी का दरवाज़ा खुलता है कि उनमें कमी बेशी की जब आ़दत पड़ जायेगी तो वहाँ भी कमी बेशी करेंगें जहाँ सूद है। (हिदाया)
मसअ्ला.30:– ऐसे रूपये जिनमें खोट ग़ालिब है उनमें बैअ़ व क़र्ज़ वज़न के एअ़तिबार से भी दुरुस्त है और गिन्ती के लिहाज़ से भी अगर रिवाज वज़न का है तो वज़न से और अ़दद का है तो अ़दद से और दोनों का है तो दोनों त़रह़ क्योंकि यह उनमें नही हैं जिनका वज़न मन्सूस़ है। (हिदाया)
मसअ्ला.31:– ऐसे रूपये जिन में खोट ग़ालिब है जब तक उनका चलन है स़मन हैं मुतअ़य्यन करने से भी मुतअ़य्यन नहीं होते मस्लन इशारा करके कहा इस रूपये की यह चीज़ देदो तो यह ज़रूर नहीं कि वही रूपया दे उसकी जगह दूसरा भी दे सकता है और अगर उनका चलन जाता रहा तो स़मन नहीं बल्कि जिस त़रह़ और चीज़ें हैं यह भी एक मताअ़ (सामान) है और उस वक़्त

मुअय्यन है अगर उसके एवज़ में कोई चीज़ ख़रीदी है तो जिसकी तरफ़ इशारा किया है उसी को देना ज़रूरी है उसके बदले में दूसरा नहीं दे सकता यह उस वक़्त है जब बाइअ़ व मुश्तरी दोनों को मा़लूम है कि उसका चलन नहीं है और हर एक यह भी जानता हो कि दूसरे को भी उसका हाल मा़लूम है और अगर दोनों को यह बात मा़लूम नहीं या एक को मा़लूम नहीं या दोनों को मा़लूम है मगर यह नहीं मा़लूम कि दूसरा भी जानता है तो बैअ़ का तअ़ल्लुक़ उस खोटे रूपये से नहीं जिसकी तरफ़ इशारा है बल्कि अच्छे रूपये से है अच्छा रूपया देना होगा और अगर उसका चलन बिलकुल बन्द नहीं हुआ है बा़ज़ तबक़ा में चलता है और बा़ज़ में नहीं और उनमें कोई चीज़ ख़रीदी तो दो सूरतें हैं बाइअ़ को यह बात मा़लूम है या नहीं कि कहीं चलता है और कहीं नहीं अगर मा़लूम है तो यही रूपया देना ज़रूर नहीं इसी तरह का दूसरा भी दे सकता है और अगर मा़लूम नही तो खरा रूपया देना पड़ेगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.32:– रूपये में चांदी और खोट दोनों बराबर हैं बा़ज़ बातों में ऐसे रूपये का हुक्म उसका है जिसमें चाँदी ग़ालिब है और बा़ज़ बातों में उसकी तरह है जिसमें खोट गालिब है बैअ़ व क़र्ज़ में उसका हुक्म उसकी तरह है जिसमें चांदी ग़ालिब है कि वह वज़नी हैं और बैअ़ सर्फ़ में उसकी तरह है जिसमें खोट ग़ालिब है कि उसकी बैअ़ अगर उसी क़िस्म के रूपये से हो या ख़ालिस चाँदी से हो तो वह तमाम बातें लिहाज़ की जायेंगी जो मज़कूर हुईं मगर उसकी बैअ़ उसी क़िस्म के रूपये से हो तो अक्सर फ़ुक़हा कमी बेशी को ना'जाइज़ कहते हैं और मुक़तज़ाये एहतेयात (एहतेयात का तक़ाज़ा) भी यही है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.33:– ऐसे रूपये जिनमें चाँदी से ज़्यादा मैल है उनमें या पैसों से कोई चीज़ ख़रीदी और अभी बाइअ़ को दिये नहीं कि उनका चलन बन्द होगया लोगों ने उससे लेन देन छोड़ दिया इमामे आ़ज़म फ़रमाते हैं कि बैअ़ बातिल होगई मगर फ़तवा साहिबैन के क़ौल पर है कि इन रूपयों या पैसों की जो क़ीमत थी दी जाये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.34:– पैसों और रूपयों का चलन बन्द नहीं हुआ मगर क़ीमत कम होगई तो बैअ़ ब'दस्तूर बाक़ी है और बाइअ़ को यह इख़्तेयार नहीं कि बैअ़ को फ़स्ख़ करदे यूंही अगर क़ीमत ज़्यादा होगई जब भी बैअ़ बदस्तूर है और मुश्तरी को फ़स्ख़ करने का इख़्तेयार नहीं और यही रूपये दोनों सूरतों में अदा किये जायेंगे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.35:– पैसे चलते हों तो उनसे ख़रीदना दुरुस्त है और मुअ़य्यन करने से मुअ़य्यन नहीं होते मस्लन इशारा करके कहा इस पैसे की यह चीज़ दो तो वही पैसा देना वाजिब नहीं दूसरा भी दे सकता है हाँ अगर दोनों यह कहते हों कि हमारा मक़सूद मुअ़य्यन ही था तो मुअ़य्यन है, और एक पैसा से दो मुअ़य्यन पैसे ख़रीदे तो अ़क़्द का तअ़ल्लुक़ मुअ़य्यन से है अगरचे वह दोनों उसकी तस़रीह न करें कि हमारा मक़सूद यही था। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार) इस सूरत में अगर कोई भी हलाक हो जाये बैअ़ बातिल हो जायेगी और अगर दोनों में कोई यह चाहे कि उसके बदले का दूसरा पैसा देदे यह नहीं कर सकता वही देना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.36:– पैसों का चलन उठ गया तो उन में बैअ़ दुरुस्त नहीं जब तक मुअ़य्यन न हों कि अब यह समन नहीं है मबीअ़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.37:– एक रूपये के पैस ख़रीदे और अभी क़ब्ज़ नहीं किया था कि उनका चलन जाता रहा बैअ़ बातिल होगई और अगर आधे रूपयों के पैसों पर क़ब्ज़ा किया था और आधे पर नहीं कि चलन बन्द होगया तो उस निस्फ़ की बैअ़ बातिल होगई। (फ़तहुलक़दीर)

मसअ्ला.38:– पैसे क़र्ज़ लिये थे और अभी अदा नहीं किये थे कि उनका चलन जाता रहा अब क़र्ज़ में उन पैसों के देने का हुक्म दिया जाये तो दाइन का सख़्त नुक़सान होगा जितना दिया था उसका चहारुम भी नहीं वुसूल हो सकता लिहाज़ा चलन उठने के दिन इन पैसों की जो क़ीमत थी

वह अदा की जाये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.39:– रूपये,दो रूपये,अठन्नी,चौअन्नी के पैसों की चीज़ ख़रीदी और यह नहीं जाहिर किया कि यह पैसे कितने होंगे बैअ् सहीह है क्योंकि यह बात मालूम है कि रूपये के इतने पैसे हैं। (हिदाया)

मसअ्ला.40:– सर्फ़ को रूपया देकर कहा कि आधे रूपये के पैसे दो और आधे का अठन्नी से कम चाँदी का सिक्का दो यह बैअ् ना'जाइज़ है आधे के पैसे ख़रीदे उसमें कुछ हरज न था मगर आधे का जो सिक्का ख़रीदा उसमें कमी बेशी है उसकी वजह से पूरी ही बैअ् फ़ासिद होगी और अगर यूँ कहता है कि इस रूपये के इतने पैसे और अठन्नी से कम वाला सिक्का दो तो कोई हरज न था क्योंकि यही तफ़सील नहीं है पैसों और सिक्का सब के मक़ाबिल में रूपया है। (दुर्रेमुख़्तार, हिदाया)

मसअ्ला.41:– हमने कई जगह ज़िमनन यह बात ज़िक्र करदी है कि नोट भी स़मने इस्तिलाही है उसकी वजह यह है कि आज तमाम लोग उससे चीज़ें ख़रीदते, बेचते हैं दूयून और दीगर मुतालेबात में बे तकल्लुफ देते, लेते हैं यहाँ तक कि दस रूपये की चीज़ ख़रीदते हैं और लौटा देते हैं दस रूपये क़र्ज़ लेते हैं और दस रूपये का नोट देते हैं न लेने वाला समझता है कि हक़ से कम या ज़्यादा मिला है न देने वाला जिस तरह अठन्नी, चौअन्नी, दुअन्नी की कोई चीज़ ख़रीदी और पैसे दे दिये या यह चीज़ें क़र्ज़ ली थीं और पैसों से क़र्ज़ अदा किया इसमें कोई तफ़ावुत नहीं समझता बिऐनेही इसी तरह नोट में भी फ़र्क़ नहीं समझा जाता हालांकि यह एक काग़ज़ का टुकड़ा है जिसकी क़ीमत हज़ार, पाँच सौ तो क्या पैसा दो पैसा भी नहीं हो सकती सिर्फ़ इस्तिलाह ने उसे इस रूत्बे तक पहुँचाया कि हज़ारों में बिकता है और आज इस्तिलाह ख़तम हो जाये तो कौड़ी को भी कौन पूछे। इस बयान के बाद यह समझना चाहिये कि खोटे रूपये और पैसों का जो हुक्म है वही उनका है कि उनसे चीज़ ख़रीद सकते हैं, और मुअ़य्यन करने से भी मुअ़य्यन नहीं होंगे खुद नोट को नोट के बदले में बेचना भी जाइज़ है और अगर दोनों मुअ़य्यन करलें तो एक नोट के बदले में दो नोट भी ख़रीद सकते हैं जिस तरह एक पैसे से मुअ़य्यन दो पैसों को ख़रीद सकते हैं रूपयों से उसको ख़रीदा या बेचा जाये तो जुदा होने से पहले एक पर क़ब्ज़ा होना ज़रूरी है जो रक़म उस पर लिखी होती है उससे कम व बेश पर भी नोट का बेचना जाइज़ है दस का नोट पाँच में बारह में बैअ् करना दुरुस्त है जिस तरह एक रूपये के 64 की जगह सौ पैसे या 50 पैसे बेचे जायें तो उसमें कोई हरज नहीं बाज़ लोग जो कमी बेशी नाजाइज़ जानते हैं उसे चाँदी तसव्वुर करते हैं। यह तो ज़ाहिर है कि यह चांदी नहीं है बल्कि काग़ज़ है और अगर चाँदी होती तो उसकी बैअ् में वज़न का एअ्तिबार ज़रूर करना होता दस रूपये से दस का नोट लेना उस वक़्त दुरुस्त होता कि एक पल्ला में दस रूपये रखें दूसरे में नोट और दोनों का वज़न बराबर करें यह अलबत्ता कहा जा सकता है कि बाज़ बातों में चाँदी के हुक्म में है मसलन दस रूपये क़र्ज़ लिये थे या किसी चीज़ का समन था और रूपये की जगह नोट दिये यह दुरुस्त है जिस तरह पन्द्रह रूपये की जगह एक गिन्नी देना दुरुस्त है मगर उससे यह नहीं हो सकता कि गिन्नी को चाँदी कहा जाये कि पन्द्रह की गिन्नी को पन्द्रह से कम व बेश में बेचना ही ना'जाइज़ हो।

मसअ्ला.42:– हिन्दुस्तान के अकस़र शहरों में कौड़ियों का रिवाज था और अब भी बाज़ जगह चल रही हैं यह भी समने इस्तिलाही हैं और इनका वही हुक्म है जो पैसों का है।

बैअ़े तलजिआ

मसअ्ला.43:– बैअ़े तलजिआ यह है कि दो शख़्स और लोगों के सामने ब'ज़ाहिर किसी चीज़ को बेचना, ख़रीदना चाहते हैं मगर उनका इरादा उस चीज़ के बेचने ख़रीदने का नहीं है उसकी ज़रूरत यूं पेश आती है कि जानता है फ़ुलां शख़्स को मालूम होजायेगा कि यह चीज़ मेरी है तो ज़ब्रदस्ती छीन लेगा मैं उसका मुक़ाबला नहीं कर सकता, इसमें यह ज़रूरी है कि मुश्तरी से कहदे कि मैं ब'ज़ाहिर तुम से बैअ् करूँगा और हक़ीक़तन बैअ् नहीं होगी और इस अम्र पर लोगों को

गवाह भी करे महज़ दिल में यह ख़्याल करके बैअ् की और ज़बान से उसको ज़ाहिर नहीं किया यह तलजिआ नहीं, तलजिआ का हुक्म हज़्ल (हंसी, मज़ाक) का है कि सूरत बैअ् की है और हक़ीक़त में बैअ् नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार) आजकल जिसको फ़र्ज़ी बैअ् कहा करते हैं वह इसी तलजिया में दाख़िल हो सकती है जबकि उसके शराइत पाये जायें।

मसअ्ला.44:– तलजिआ की तीन सूरतें हैं नफ़्से अ़क्द में तलजिआ हो या मिक़दारे समन में या जिन्से समन में नफ़्से अ़क्द में तलजिआ की वही सूरत है जो मज़्कूर हूई कि बाइअ् ने मुश्तरी से कुछ ख़ास लोगों के सामने यह कह दिया कि मैं लोगों के सामने ज़ाहिर करूँगा कि अपना मकान तुम्हारे हाथ बेचा और तुम क़बूल करना और यह बैअ् व शिरा (ख़रीद ो फ़राख़्त) दिखावे में होगा हक़ीक़त में नहीं होगा चुनांचे इसी तौर पर बैअ् हुई। समन की मिक़दार में तलजिआ की सूरत यह है कि आपस में समन एक हज़ार तय हुआ है मगर यह तय हुआ कि ज़ाहिर दो हज़ार किया जायेगा इस सूरत में स्मन वह होगा जो ख़ुफ़िया तय हुआ है जैसा कि आजकल अकस्र शुफ़आ से बचाने के लिये दस्तावेज़ में बढ़ाकर स्मन लिखते हैं ताकि अव्वलन तो स्मन की कस्रत देखकर शुफ़आ ही न करेगा और करे भी तो वह रक़म देगा जो हमने दस्तावेज़ में लिखाई है (यह हराम और फ़रेब और हक़ तलफ़ी है) तीसरी सूरत कि ख़ुफ़िया रूपये समन क़रार पाये और ज़ाहिर में अशर्फ़ियों को स्मन क़रार दिया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.45:– बैअ़े तलजिआ का यह हुक्म है कि यह बैअ् मौक़ूफ़ है जाइज़ करदे तो जाइज़ होगी रद करदे तो बातिल होगी। (आलमगीरी) यानी जबकि नफ़्से अ़क्द में तलजिआ हो।

मसअ्ला.46:– दो शख़्सों ने आपस में इस पर इत्तिफ़ाक़ किया कि लोगों के सामने हम फ़ुलां चीज की बैअ् का इक़रार करदें एक कहे फ़ुलां तारीख़ को मैंने यह चीज़ उसके हाथ इतने में बेची है दूसरा इक़रार करे मैंने ख़रीदी है हालांकि हक़ीक़त में इन दोनों के माबैन बैअ् नहीं हुई है तो ऐसे ग़लत इक़रार से बैअ् मौक़ूफ़ भी साबित नहीं होगी और दोनों उसको जाइज़ करना भी चाहें तो जाइज़ नहीं होगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.47:– दोनों में से एक कहता है तलजिआ था दूसरा कहता है नहीं था तो जो तलजिआ का मुद्दई है उसके ज़िम्मे गवाह है गवाह न लाये तो मुन्किर का क़ौल क़सम के साथ मोअ्तबर है(आलमगीरी)

मसअ्ला.48:– दोनों ने यह तय कर लिया था कि महज़ दिखाने के लिये अ़क्द किया जायेगा अगर वक़्ते अ़क्द उसी तयशुदा बात पर अ़क्द की बिना करें तो अ़क्द दुरुस्त नहीं कि बैअ् में तबादला की रज़ामन्दी दरकार है और यहाँ वह मफ़क़ूद है यानी अगर अ़क्द को जाइज़ न करें बल्कि रद करदें तो बातिल होजायेगा और अगर वक़्ते अ़क्द उस तयशुदा पर बिना न हो यानी दोनों अ़क्द के बाद बिलइत्तिफ़ाक़ कहते हों कि हमने उस तयशुदा के मुवाफ़िक़ अ़क्द नहीं किया था तो यह बैअ् सहीह है और अगर इस बात पर दोनों मुत्तफ़िक़ हैं कि वक़्ते अ़क्द हमारे दिलों में कुछ न था न यह कि तय शुदा बात पर अ़क्द है न यह कि उस पर नहीं है या दोनों आपस में इख़्तिलाफ़ करते हैं एक कहता है कि तयशुदा बात पर अ़क्द किया था दूसरा कहता है उसके मुवाफ़िक़ मैंने अ़क्द नहीं किया था तो इन दोनों सूरतों में बैअ् सहीह है यूंही अगर समन की मिक़दार बाहम एक हज़ार तय पाई थी और ऐलानिया दो हज़ार समन क़रार पाया इसमें भी वही सूरतें हैं अगर दोनों का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि समन वही तयशुदा है तो समन दो हज़ार है और अगर दोनों मुत्तफ़िक़ हैं कि तयशुदा स्मन पर अ़क्द नहीं हुआ है बल्कि दो हज़ार पर ही हुआ है या कहते हैं हमारे ख़्याल में उस वक़्त कुछ न था कि तयशुदा समन रहेगा या नहीं या दोनों में बाहम इख़्तिलाफ़ है इन सब सूरतों में भी समन दो हज़ार है और अगर जिन्स एक चीज़ तय पाई और अ़क्द दूसरी जिन्स पर हुआ तो स्मन वह है जो वक़्ते अ़क्द ज़िक्र हुई। (रद्दुलमुहतार)

बैउ़ल वफ़ा

मसअ्ला.49:– बैउ़ल वफ़ा इस बैअ् को बैउ़ल अमानत और बैउ़ल इताअ़त और बैउ़ल मुआ़मला भी कहते हैं उसकी सूरत यह है कि इस तौ़र पर बैअ् किया जाये कि बाइअ् जब समन मुश्तरी को वापस देगा तो मुश्तरी मबीअ् को वापस कर देगा या यूं कि मदयून ने दाइन के हाथ दैन के एवज़ में कोई चीज़ बैअ् करदी और यह त़य होगया कि जब मैं दैन अदा करूँगा तो अपनी चीज़ ले लूँगा या यूं कि मैंने यह चीज़ तुम्हारे हाथ इतने में बैअ् करदी इस तौ़र पर कि जब स़मन लाऊंगा तो तुम मेरे हाथ बैअ् कर देना। आज कल जो बैउ़ल वफ़ा लोगों में जारी है उस में मुद्दत भी होती है कि अगर इस मुद्दत के अन्दर यह रक़म मैंने अदा करदी तो चीज़ मेरी वरना तुम्हारी।

मसअ्ला.50:– बैउ़ल वफ़ा हक़ीक़त में रहन है लोगों ने रहन के मुनाफ़ेअ् खाने की यह तर्कीब निकाली है कि बैअ् की सूरत में रेहन रखते हैं ताकि मुरतहिन उसके मुनाफ़ेअ् से मुस्तफ़ीद हो। लिहाज़ा रहन के तमाम अह़काम इस में जारी होंगे और जो कुछ मुनाफ़ेअ् ह़ासि़ल होंगे सब वापस करने होंगे और जो कुछ मुनाफ़ेअ् अपने स़र्फ़ में ला चुका है या हलाक कर चुका है सबका तावान देना होगा और अगर मबीअ् हलाक होगई तो दैन का रूपया भी साक़ित़ होजायेगा बशर्ते कि वह दैन की रक़म के बराबर हो और अगर उसके पड़ोस में कोई मकान या ज़मीन फ़रोख़्त हो तो शुफ़आ़ बाइअ् का होगा कि वही मालिक है मुश्तरी का नहीं कि वह मुरतहिन है। (रद्दुलमुहतार) बैउ़ल वफ़ा का मुआ़मला निहायत पेचीदा है फ़ुक़हाये किराम के अक़वाल उसके मुतअ़ल्लिक़ बहुत मुख़्तलिफ़ वाक़ेअ् हुए अ़ल्लामा स़ाहिबे बहर ने इसके बारे में आठ क़ौल ज़िक्र किये फ़तावा बज़ाज़िया में नौ क़ौल मज़कूर हैं बाज़ ने दस क़ौल ज़िक्र किये फ़क़ीर ने सि़र्फ़ उस क़ौल का ज़िक्र किया कि यह ह़क़ीक़त में रहन है कि आ़क़िदैन का मक़सूद उसी की ताईद करता है और अगर उसको बैअ् भी क़रार दिया जाये जैसा कि उसका नाम ज़ाहिर करता है और ख़ुद आ़क़िदैन भी उ़मूमन लफ़्ज़े बैअ् ही से अ़क्द करते हैं तो यह शर्त़ कि स़मन वापस करने में मबीअ् को वापस करना होगा यह शर्त़ बाइअ् के लिये मुफ़ीद है और मुक़तज़ाये अ़क्द के ख़िलाफ़ है और ऐसी शर्त़ बैअ् को फ़ासिद करती है जैसा कि मालूम हो चुका है इस सूरत में भी बाइअ् व मुश्तरी दोनों गुनहगार भी होंगे और मबीअ् के मुनाफ़ेअ् मुश्तरी के लिये ह़लाल न होंगे बल्कि जो मुनाफ़ेअ् मौजूद हैं उन्हें वापस करे और जो ख़र्च कर डाले हैं उनका तावान दे अलबत्ता जो बिग़ैर उसके फ़ेअ़्ल के हलाक हो गये हों वह साक़ित़ लिहाज़ा ऐसी बैअ् से इज्तिनाब ही का हुक्म दिया जायेगा।

वल्लाहु तआ़ला आ़लम।

هذا آخر ما تيسر لى من كتاب البيوع تشتت البال وضعف الحال

मुतर्जिम
मुह़म्मद अमीनुलक़ादरी बरेलवी
निकट दो मीनार मस्जिद, एजाज़ नगर
पुराना शहर बरेली
मो0 : 09219132423

बहारे शरीअत

11 से 20

मुसन्निफ

सदरुश्शरीआ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा

मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर

क़ादरी दारुल इशाअ़त

[illegible] मीनार मस्जिद

[illegible] पुराना शहर बरेली

बहारे शरीअ़त

बारहवाँ हिस़्सा

मुस़न्निफ़
सदरूश्शरीआ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा
मौलाना मुह़म्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर
क़ादरी दारूल इशाअ़त
मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली–53
Mob:–9219132423

हमे बड़ी मुसर्रत हो रही है कि अल्लाह त'आला और उसके हबीब सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम के हुक्म फ़ज़्ल-ओ-करम से और बुज़ुर्गाने दीन सिलसिला-ए-क़ादिरिया बिलख़ुसूस पिराने पीर दस्तगीर हुज़ूर ग़ौस-ए-आज़म शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रादिअल्लाहु त'आला अन्हू के फ़ैज़ से क़िताब बहार-ए-शरीअत (हिस्सा **11** से **20**) हिंदी में पीडीएफ **[PDF]** में आप की खिदमत में पेश की जा रही है।

ज़माना-ए- क़दीम से अवमुन्नास की इस्लाहे हाल और हिदायते उख़रवी व दुनयवी के लिए हक़ सदाक़त के जाम की फ़राहमी की जाती रही है और ये इलतेज़ाम ख़ालिक़-ए-क़ायनात जल्ला जलालहु ने ब अहसान अपनी मख़लूक़ के लिए फ़रमाया है। अम्बिया व मुर्सलीन के बेहतरीन दौर के बाद उसने यह ख़िदमत अपने मुक़र्रबीन रिज़वानुल्लाह त'आला अलैहिम अजमईन के सुपुर्द की और यह सिलसिला अला हालही जारी व सारि है।

मज़हब-ए-इस्लाम अल्लाह त'आला का पसंदीदा दीन है । जिंदगी का कोई ऐसा शोबा नही जिसके लिए इस्लाम ने हमे क़ानून न दिया हो ।

आज जिस दौर से हम गुज़र रहे है हमारा मुस्लिम तबका उर्दू की तरफ ध्यान नही दे रहा है और नई नस्ल तो बिल्कुल ही उर्दू से नावाक़िफ़ होती जा रही है । नतीजे के तौर पर दीनी और मज़हबी दिलचस्पियाँ कम हो रही है और हम अपने हाल को ग़ैर मुंज़बित तरीके पे छोड़े रहते है ।

लिहाज़ा ये किताब हिंदी में लिखी गई है और आप सब की आसानी के लिए हम ने इस किताब को पीडीएफ फ़ाइल में आप की ख़िदमत में पेश किया है।
आप सब से हमारी गुज़ारिश है कि अपनी मसरूफ ज़िन्दगी में से रोज़ाना वक़्त निकाल कर बुज़ुर्गो की तस्नीफ़ करदा किताबो को मुताला में रखें , इंशा अल्लाह त'आला दीन और दुनिया दोनो में मक़बूल होंगे।

दुआओं के तलबगार

वसीम अहमद रज़ा खान और साथी

+91-8109613336

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلي على رسوله الكريم

किफ़ालत का बयान

इस्तिलाहे शरअ़ में किफ़ालत के मअ़ना यह हैं कि एक शख़्स अपने ज़िम्मा को दूसरे के ज़िम्मे के साथ मुतालबा में ज़म कर दे यानी मुतालबा एक शख़्स के ज़िम्मे था दूसरे ने भी मुतालबा अपने ज़िम्मे ले लिया ख़्वाह वह मुतालबा नफ़्स (किसी शख़्स को हाज़िर करने) का हो या दैन (क़र्ज़) का या ऐन का। (हिदाया,दुर्रेमुख़्तार, स.249, जि.4)

जिसका मुतालबा है उसको तालिब व मकफूल लहू कहते हैं और जिसपर मुतालबा है वह असील व मकफूल अन्हु है और जिसने ज़िम्मेदारी की वह कफ़ील है और जिस चीज की किफालत की वह मकफूल बिही है। (दुर्रेमुख़्तार स. 252)

मसअ्ला.1:– जिस मुद्दई को डर हो कि मालूम नही माल वसूल होगा या न होगा और जिस मुद्दा अ़लैह को यह अन्देशा हो कि कहीं हिरासत में न लिया जाऊँ इन दोनों को अन्देशा से बचाने के लिये किफ़ालत करना महमूद व हसन (अच्छा) है और अगर कफ़ील यह समझता हो कि मुझे खुद हासिल होगी तो उससे बचना ही एहतियात है तौरेत मुक़द्दस में है कि किफ़ालत की इब्तिदा मलामत है और औसत नदामत है और आख़िर ग़रामत है यानी ज़ामिन होते ही खुद उस नफ़्स का या दूसरे लोग मलामत करेंगे और जब उससे मुतालबा होने लगा तो शर्मिन्दा होना पड़ता है और आख़िर यह कि गिरह से देना पड़ता है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार, स. 253 जि. 4)

किफ़ालत का जवाज़ और उसकी मशरूईयत कुर्आन व हदीस़ से साबित है और उसके जवाज़ पर इजमाअ़ मुनअ़क़िद है कुर्आन मजीद सुरा–ए–यूसुफ़ में है ﴿وَاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ﴾ "मैं उसका कफ़ील व ज़ामिन हूँ" हदीस में है जिसको अबूदाऊद व तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कफ़ील ज़ामिन है एक मुआ़मला में हज़रत उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा ने हज़रत अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु की किफ़ालत की थी। (फ़तहुलक़दीर)

मसअ्ला.2:– किफ़ालत के लिये अलफ़ाज़ मख़सूस हैं जो बयान किये जायेंगे और उसका रुक्न ईजाब व क़बूल है यानी एक शख़्स अलफ़ाज़े किफ़ालत से ईजाब करे दूसरा क़बूल करे। तन्हा कफ़ील के कह देने से किफ़ालत नहीं हो सकती जब तक मकफूल लहु (जिसका मुतालबा है) या अजनबी शख़्स ने क़बूल न किया हो। यह भी हो सकता है कि मकफुल लहु या अजनबी ने किसी से कहा कि तुम फुलाँ की किफ़ालत करलो उसने किफ़ालत करली यह किफ़ालत सहीह है क़बूल की इस सूरत में ज़रूरत नहीं। और अगर कफ़ील ने किफ़ालत की और मकफूल लहु वहाँ मौजूद नहीं है कि क़बूल या रद करता तो यह किफ़ालत मकफुल लहु की इजाज़त पर मौकूफ़ है जब ख़बर पहुँची उसने क़बूल करली किफ़ालत सहीह होगई और जब तक मकफुल लहु ने इजाज़त न की हो कफ़ील किफ़ालत से दस्त'बर्दार हो सकता है। (आलमगीरी स.134 जि.4)

मसअ्ला.3:– मकफुल अ़न्हु का क़बूल करना या उसके कहने से किसी शख़्स का किफ़ालत करना काफ़ी नहीं मसलन उसने किसी से कहा मेरी किफ़ालत करलो उसने किफ़ालत करली या उसने खुद ही कहा कि मैं फुलाँ शख़्स की तरफ़ से कफ़ील होता हूँ और मकफूल अ़न्हु ने कहा मैंने क़बूल किया यह किफ़ालत सहीह नहीं। (आलमगीरी स.134)

मसअ्ला.4:– मरीज़ ने अपने वुरसा से कहा फुलाँ शख़्स का मेरे ज़िम्मे यह मुतालबा है तुम ज़ामिन होजाओ वुरसा ने किफ़ालत करली यह किफ़ालत दुरुस्त है अगर्चे मकफूल अ़न्हु ने क़बूल न किया हो बल्कि वहाँ मौजूद भी न हो मरीज़ के मरने के बाद वुरसा से मुतालबा होगा मगर मय्यित ने तर्का न छोड़ा हो तो वुरसा अदा करने पर मजबूर नहीं किये जा सकते। (आलमगीरी,134)

मसअ्ला.5:– मरीज़ ने किसी अजनबी शख़्स को अपना ज़ामिन बनाया वह ज़ामिन होगया अगर्चे

मकफूल लहु मौजूद नहीं है कि उसकी किफ़ालत को क़बूल करे यह किफ़ालत भी दुरुस्त है लिहाज़ा उस अजनबी ने दैन अदा कर दिया तो उसके तर्का से वसूल कर सकता है।(आलमगीरी स. 134)
मसअ्ला.6:– मरीज़ ने वुरसा से ज़मानत को नहीं कहा बल्कि खुद वुरसा ने मरीज़ से कहा कि लोगों के जो कुछ दुयून(क़र्ज़े)तुम्हारे ज़िम्मे हैं हम ज़ामिन हैं और क़र्ज़ख्वाह वहाँ मौजूद नहीं हैं कि क़बूल करते यह किफ़ालत सहीह नहीं और उसके मरने के बाद वुरसा ने किफ़ालत की तो सहीह है(ख़ानिया)
मसअ्ला.7:– मकफूल बिही (जिस चीज़ की किफ़ालत की) कभी नफ़्स होता है कभी माल, नफ़्स की किफ़ालत का मतलब यह है कि उस शख़्स को जिसकी किफ़ालत की हाज़िर लाये, जिस तरह आज कल भी कचहरियों में होता है कि मुद्दा अ़लैह से कफील तलब किया जाता है जो उस अम्र का ज़िम्मेदार होता है उस पर लाज़िम है कि तारीख़ पर हाज़िर लाये और न लाये तो खुद उसे हिरासत में रखते हैं।

किफ़ालत के शराइत

किफ़ालत के शराइत हस्बे ज़ैल हैं। **(1) कफ़ील का आ़क़िल होना (2) बालिग़ होना,** मजनून या ना'बालिग़ ने किफ़ालत की सहीह नहीं मगर जब्कि वली ने ना'बालिग़ के लिये क़र्ज़ लिया और ना'बालिग़ से कह दिया कि कि तुम इस माल की किफ़ालत करलो उसने किफ़ालत करली यह किफ़ालत सहीह है और इस किफ़ालत का मतलब यह होगा कि नाबालिग़ को माल अदा करने की इजाज़त है और इस सूरत में उस बच्चे से दैन का मुतालबा हो सकता है और किफ़ालत न करता तो सिर्फ़ वली से मुतालबा होता, वली ने ना'बालिग़ को किफ़ालते नफ़्स का हुक्म दिया उसने किफ़ालत कर ली यह सहीह नहीं। (दुर्रेमुख़्तार स.351, आलमगीरी 134)
मसअ्ला.8:– ना'बालिग़ ने किफ़ालत की और बालिग़ होने के बाद किफ़ालत का इक़रार करता है तो उससे मुतालबा नहीं हो सकता और अगर बादे बूलूग़ उसमें और तालिब में इख़्तिलाफ़ पैदा हुआ यह कहता है मैंने नाबालिग़ी में किफ़ालत की थी और तालिब कहता है कि बालिग़ होने के बाद किफ़ालत की है तो नाबालिग़ का क़ौल मोअ्तबर है। (आलमगीरी) **(3) आज़ाद होना** यह शर्ते निफ़ाज़ है यानी अगर ग़ुलाम ने किफ़ालत की तो जब तक आज़ाद न हो उससे मुतालबा नहीं हो सकता अगर्चे वह ऐसा ग़ुलाम हो जिसको तिजारत करने की इजाज़त हो हाँ जब वह आज़ाद होगया तो उसकी किफ़ालत की वजह से जो ग़ुलामी की हालत में की थी उससे मुतालबा हो सकता है और अगर मौला (आक़ा,मालिक) ने उसे किफ़ालत की इजाज़त देदी तो उसकी किफ़ालत सहीह और नाफ़िज़ है जब्कि मदयून न हो। (दुर्रेमुख़्तार स.252, आलमगीरी स.134) **(4) मरीज़ न होना** यानी जो शख़्स मर्ज़ुलमौत में हो और सुलुस् माल (तिहाई माल) से ज़्यादा की किफ़ालत करे तो सहीह नहीं यूँही अगर उस पर इतना दैन हो जो उसके तर्का को मुहीत (उसकी तमाम मीरास को घेरे हुए हो यानी जितनी उसकी मीरास है उतना या उससे ज़्यादा क़र्ज़ है(अमीनुल क़ादरी)) हो तो बिलकूल किफ़ालत नहीं कर सकता मरीज़ ने वारिस के लिये या वारिस की तरफ़ से किफ़ालत की यह मुतलक़न सहीह नहीं। (दुर्रेमुख़्तार जि.4 स.252)
मसअ्ला.9:– अगर मरीज़ पर ब'ज़ाहिर दैन न था उसने किसी की किफ़ालत की थी फिर यह इक़रार करे कि मुझपर इतना दैन है जो कुल माल को मुहीत है फिर मरगया उसका माल मुक़िर लहू (जिसके लिये इक़रार किया) को मिलेगा मकफुल लहू को नहीं मिलेगा और अगर इतने माल का इक़रार किया है जो कुल माल को मुहीत नहीं है और दैन निकालने के बाद जो बचा किफ़ालत की रक़म उसकी तिहाई तक है यह किफ़ालत दुरुस्त है और अगर किफ़ालत की रक़म तिहाई से ज़्यादा है तो तिहाई की क़दरे किफ़ालत सहीह है। (रद्दुलमुहतार स.252 जि.4)
मसअ्ला.10:– मरीज़ ने हालते मर्ज़ में यह इक़रार किया कि मैंने सेहत में किफ़ालत की है यह उसके पूरे माल में सहीह है बशर्ते कि यह किफ़ालत न वारिस के लिये हो न वारिस की तरफ़ से हो। (रद्दुलमुहतार स. 252) **(5)मकफूल बिही मक़दूरुत्तसलीम हो** यानी जिस चीज़ की किफ़ालत की उस को अदा करने पर क़ादिर हो, हुदूद व क़िसास की किफ़ालत नहीं हो सकती, जिस पर हद वाजिब

हो उसके नफ़्स की किफ़ालत हो सकती है जब कि उस हद में बन्दों का हक़ हो यूँही मय्यित की किफ़ालत बिन्नफ़्स (किसी शख़्स को हाज़िर करने की किफ़ालत) नहीं हो सकती क्योंकि जब वह मर चुका था तो हाज़िर क्योंकर कर सकता है बल्कि अगर ज़िन्दगी में किफ़ालत की थी फिर मरगया तो किफ़ालत बिन्नफ़्स बातिल होगई कि वह रहा ही नहीं जिसकी किफ़ालत की थी। **(6)दैन की किफ़ालत की तो वह दैन सहीह** हो यानी बिग़ैर अदा किये या मुद्दई के मुआफ़ किये वह साक़ित न होसके बदले किताबत की किफ़ालत नहीं हो सकती कि यह दैन सहीह नहीं यूँही ज़ौजा के नफ़्क़ा की किफ़ालत नहीं हो सकती जब तक क़ाज़ी ने उसका हुक्म न दिया हो कि यह दैन सहीह नहीं। **(7)वह दैन क़ाइम हो,** लिहाज़ा जो मुफ़्लिस मरा और तर्का नहीं छोड़ा उसपर जो दैन है क़ाबिले किफ़ालत नहीं कि ऐसे दैन का दुनिया में मुतालबा ही नहीं हो सकता यह दैन क़ाइम न रहा(दुर्रेमुख़्तार)

किफ़ालत के अलफ़ाज़

मसअ्ला.11:– किफ़ालत ऐसे अलफ़ाज़ से होती है जिन से कफ़ील का ज़िम्मेदार होना समझा जाता हो मसलन खुद लफ़्ज़े किफ़ालत ज़मानत, यह मुझ पर है मेरी तरफ़ है, मैं ज़िम्मेदार हूँ, यह मुझपर है कि उसको तुम्हारे पास लाऊँ, फ़ुलाँ शख़्स मेरी पहचान का है, यह किफ़ालत बिन्नफ़्स है(आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– तुम्हारा जो कुछ फ़ुलाँ पर है मैं दूँगा यह किफ़ालत नहीं बल्कि वअ्दा है तुम्हारा जो दैन फ़ुलाँ पर है मैं दूँगा, मैं अदा करूँगा, यह किफ़ालत नहीं जब तक यह न कहे कि मैं ज़ामिन हूँ या वह मुझपर है। (आलमगीरी स.135)

मसअ्ला.13:– यह कहा कि जो कुछ तुम्हारा फ़ुलाँ पर है मैं उसका ज़ामिन हूँ यह किफ़ालत सहीह है या यह कहा जो कुछ तुमको इस बैअ् में पहुँचेगा मैं उसका ज़ामिन हूँ यानी यह कि मबीअ् में अगर दूसरे का हक़ साबित हो तो समन का मैं ज़िम्मेदार हूँ यह किफ़ालत भी सहीह है उसको ज़मानुद्दर्क कहते हैं। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार 264)

मसअ्ला.14:– किफ़ालत बिन्नफ़्स में यह कहना होगा कि उसके नफ़्स का ज़ामिन हूँ या ऐसे अज़्ज़ (हिस्से) को ज़िक्र करे जो कुल की ताबीर होता है मस्लन गर्दन, जुज़ व शायेअ्, निस्फ़, व रुब्अ् की तरफ़ इज़ाफ़त करने से भी किफ़ालत हो जाती है। अगर यह कहा उसकी शनाख़्त मेरे ज़िम्मे है तो किफ़ालत न हुई। (दुर्रेमुख़्तार,253)

किफ़ालत का हुक्म

मसअ्ला.15:– किफ़ालत का हुक्म यह है कि असील की तरफ़ से उसने जिस चीज़ की किफ़ालत की है उसका मुतालबा उसके ज़िम्मे लाज़िम होगया यानी तालिब के लिये हक्के मुतालबा साबित हो गया वह जब चाहे उससे मुतालबा कर सकता है उसको इनकार की गुन्ज़ाइश नहीं, यह ज़रूरी नहीं कि उससे मुतालबा उसी वक़्त करे जब असील से मुतालबा न कर सके बल्कि असील से मुतालबा कर सकता हो जब भी कफ़ील से मुतालबा कर सकता है। और असील (जिस पर मुतालबा है) से मुतालबा शुरू कर दिया जब भी कफ़ील से मुतालबा कर सकता है हाँ अगर असील से उसने अपना हक़ वसूल कर लिया तो किफ़ालत ख़त्म होगई अब कफ़ील बरी होगया मुतालबा नहीं हो सकता। (दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार 251)

मसअ्ला.16:– मैंने फ़ुलाँ की किफ़ालत की आज से एक माह तक तो एक माह के बाद कफ़ील (किफ़ालत करने वाला) बरी हो जायेगा मुतालबा नहीं हो सकता और फ़क़त इतना ही कहा कि एक माह कफ़ील हूँ यह न कहा कि आज से जब भी उर्फ़ यही है कि एक माह की तहदीद है उसके बाद कफ़ील से तअ़ल्लुक़ न रहा। (रद्दुलमुहतार 255)

मसअ्ला.17:– कफ़ील ने यूँ किफ़ालत की कि जब तू तलब करेगा तो एक माह की मुद्दत मेरे लिये होगी यह किफ़ालत सहीह है और वक़्ते तलब से एक माह की मुद्दत होगी और मुद्दत पूरी होने पर तस्लीम करना लाज़िम है अब दोबारा मुद्दत न होगी। (दुर्रे मुख़्तार 255)

मसअ्ला.18:– इस शर्त पर किफ़ालत की कि मुझको तीन दिन या दस दिन का ख़ियार है

किफ़ालत सहीह है और ख़ियार भी सहीह यानी जिस मुद्दत तक ख़ियार लिया है उसके बाद मुतालबा होगा और अनदुरूने मुद्दत उसको इख़्तियार है कि किफ़ालत को ख़त्म कर दे।(दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा.256)

मसअ्ला.19:– कफ़ील ने वक़्त मुअय्यन कर दिया है कि मैं फ़ुलाँ वक़्त उसको हाज़िर लाऊँगा और तालिब ने तलब किया तो उस वक़्ते मुअय्यन पर हाज़िर लाना ज़रूर है अगर हाज़िर लाया फ़बिहा (तो ठीक) वरना खुद उस कफ़ील को क़ैद कर दिया जायेगा यह उस सूरत में है जब हाज़िर करने में उसने खुद कोताही की हो और अगर मालूम हो कि उसकी जानिब से कोताही नहीं है तो इब्तिदाअन क़ैद न किया जाये बल्कि उसको इतना मौक़ा दिया जाये कि कोशिश करके लाये।(आलमगीरी स.136 दुर्रे मुख़्तार स. 256)

मसअ्ला.20:– किफ़ालत बिन्नफ़्स (जान की किफ़ालत) की थी और वह शख़्स ग़ायब होगया कहीं चला गया तो कफ़ील को इतने दिनों की मोहलत दी जायेगी कि वहाँ जाकर लाये और मुद्दत पूरी होने पर भी न लाया तो क़ाज़ी कफ़ील को हब्स (क़ैद) करेगा और अगर यह मालूम न हो कि वह कहाँ गया तो कफ़ील को छोड़ दिया जायेगा जब कि तालिब भी इस बात को मानता हो कि वह लापता है और अगर तालिब गवाहों से साबित करदे कि वह फ़ुलाँ जगह है तो कफ़ील मजबूर किया जायेगा कि वहाँ से जाकर लाये। (आलमगीरी स.136 दुर्रेमुख़्तार स.256)

मसअ्ला.21:– जो यह कहा गया कि कफ़ील उसको वहाँ से जाकर लाये अगर यह अन्देशा (डर ख़ौफ़) हो कि कफ़ील भी भाग जायेगा तो तालिब को यह हक़ होगा कि कफ़ील से ज़ामिन तलब करे और कफ़ील को इस सूरत में ज़ामिन देना होगा। (आलमगीरी स.136)

मसअ्ला.22:– किफ़ालत बिन्नफ़्स में अगर मकफ़ूल बिही मरगया किफ़ालत बातिल होगई यूँही अगर कफ़ील मरगया जब भी किफ़ालत बातिल होगई उसके वुरसा से मुतालबा नहीं हो सकता तालिब के मरने से किफ़ालत बातिल नहीं होती उसके वुरसा या वसी कफ़ील से मुतालबा कर सकते हैं कफ़ील ने मुद्दाअलैह को मुद्दई के पास हाज़िर कर दिया तो किफ़ालत से बरी होगया मगर शर्त यह है कि ऐसी जगह हाज़िर लाया हो जहाँ मुद्दई को मुक़द्दमा पेश करने का मौक़ा हो यानी जहाँ हाकिम रहता हो यानी उस शहर में हाज़िर लाना होगा दूसरे शहर या जंगल या गाँव में उसके पास हाज़िर लाना काफ़ी नहीं, कफ़ील के बरी होने के लिये यह ज़रूरी नहीं कि ज़मानत के वक़्त यह शर्त करे कि जब मैं हाज़िर लाऊँ बरी हो जाऊँगा यानी बिग़ैर इस शर्त के भी हाज़िर कर देने से बरी हो जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल मुहतार स.257)

मसअ्ला.23:– कफ़ील की बराअत (छुटकारा) के लिये यह ज़रूरी नहीं कि जब हाज़िर करदे तो मकफ़ुल लहू क़बूल करले वह इनकार करता रहे और यह कहे कि इसे दूसरे वक़्त लाना जब भी कफ़ील बरीउज़्ज़िम्मा होगया, कफ़ील के ज़िम्मा सिर्फ़ एक बार हाज़िर कर देना है हाँ अगर ऐसे लफ़्ज़ से किफ़ालत की हो जिससे उमूम समझा जाता हो मस्लन यह कि जब कभी तू उसको तलब करेगा मैं हाज़िर लाऊँगा तो एक मरतबा के हाज़िर करने से बरीउज़्ज़िम्मा न होगा।(दुर्रेमुख़्तार 257)

मसअ्ला.24:– किफ़ालत में शर्त करदी है कि मज्लिसे क़ाज़ी में हाज़िर करेगा अब दूसरी जगह मुद्दई के पास हाज़िर लाना काफ़ी नहीं हाँ अमीरे शहर के पास हाज़िर कर दिया या अमीर के पास हाज़िर करने की शर्त की थी और क़ाज़ी के पास लाया या दूसरे क़ाज़ी के पास लाया यह काफ़ी है। (दुर्रेमुख़्तार स.257)

मसअ्ला.25:– मतलूब (मुद्दा अलैह) ने खुद अपने को हाज़िर कर दिया कफ़ील बरी होगया जब कि उसने मतलूब के कहने से किफ़ालत की हो और अगर बिग़ैर कहे अपने आप ही किफ़ालत करली तो उसके खुद हाज़िर होने से कफ़ील बरी न हुआ, कफ़ील के वकील या क़ासिद ने हाज़िर कर दिया कफ़ील बरी होगया मगर इन तीनों में यानी खुद हाज़िर होगया या वकील या क़ासिद ने हाज़िर कर दिया शर्त यह है कि वह कहे कि मैं ब मुक़तज़ा–ए–किफ़ालत हाज़िर हुआ या कफ़ील की तरफ़ से पेश करता हूँ और अगर यह ज़ाहिर न किया तो कफ़ील बरीउज़्ज़िम्मा न हुआ। (दुर्रेमुख़्तार स.258, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.26:– किसी अजनबी शख़्स ने जो कफ़ील की तरफ़ से मामूर नहीं है मतलूब को पेश कर

दिया और कह दिया कि कफ़ील की तरफ़ से पेश करता हूँ अगर तालिब ने मन्ज़ूर करलिया कफ़ील बरी होगया वरना नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.27:– कफ़ील ने यूँ किफ़ालत की कि अगर मैं कल उसको हाज़िर न लाया तो जो माल उसके ज़िम्मे है मैं उसका ज़ामिन हूँ और बावजूद कुदरत उसने हाज़िर न किया तो माल का ज़ामिन होगया उससे माल वसूल किया जायेगा और अगर मतलूब बीमार होगया या कैद कर दिया गया या उसका पता नहीं है कि कहाँ है इन वुजूह से कफ़ील ने हाज़िर नहीं किया तो माल का ज़ामिन नहीं हुआ और अगर मतलूब मरगया या मजनून होगया इस वजह से नहीं हाज़िर कर सका तो ज़ामिन है और अगर सूरते मज़कूरा में खुद तालिब मरगया तो उसके वुरसा उसके काइम मकाम हैं और अगर कफ़ील मरगया तो उसके वुरसा से मुतालबा होगा यानी उस वक़्त तक वारिस ने उसको हाज़िर कर दिया बरी होगया वरना वारिस पर लाज़िम होगा कि कफ़ील के तर्का से दैन अदा करे। (दुर्रेमुख़्तार स.258 रद्दुलमुहतार स.259)

मसअ्ला.28:– कफ़ील ने यह कहा था कि अगर कल फुलाँ जगह उसको तुम्हारे पास न लाऊँ तो माल का मैं ज़ामिन हूँ कफ़ील उसे लाया मगर तालिब को नहीं पाया और उसपर लोगों को गवाह कर लिया तो कफ़ील दोनों किफ़ालतों (किफ़ालते नफ़्स और किफ़ालते माल) से बरी होगया, और अगर सूरते मज़कूरा में तालिब व कफ़ील में इख़्तिलाफ़ हुआ तालिब कहता है तुम उसे नहीं लाये कफ़ील कहता है मैं लाया तुम नहीं मिले और गवाह किसी के पास न हों तो तालिब का कौल मोअ्तबर है यानी कफ़ील के ज़िम्मा माल लाज़िम होगया और अगर कफ़ील ने गवाहों से साबित कर दिया कि उसे लाया था तो कफ़ील बरी होगया। (आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.29:– कफ़ील मतलूब को लाया मगर खुद तालिब छुप गया इस सूरत में क़ाज़ी उसकी तरफ़ से किसी को वकील मुकर्रर कर देगा कफ़ील उस वकील को सिपुर्द कर देगा, इसी तरह मुश्तरी को ख़ियार था और बाइअ् ग़ाइब होगया या किसी ने क़सम खाई थी कि आज मैं अपना क़र्ज़ अदा करूँगा और क़र्ज़ ख़्वाह ग़ायब होगया या किसी ने औरत से कहा था अगर तेरा नफ़्क़ा तुझको आज न पहुँचे तो तुझे तलाक़ दे लेने का इख़्तियार है और औरत कहीं छुपगई इस सब सूरतों में क़ाज़ी उनकी तरफ़ से वकील मुकर्रर कर देगा और वकील के फ़ेअ्ल मुअक्किल का फ़ेअ्ल होगा। (रद्दुलमुहतार, 260)

मसअ्ला.30:– क़ाज़ी या उसके अमीन ने मुद्दा अ़लैह से कफ़ील तलब किया जो उसके हाज़िर लाने का ज़ामिन हो मुद्दई के कहने से कफ़ील तलब किया हो या बिग़ैर कहे कफ़ील पर लाज़िम होगा कि मुद्दा अ़लैह को क़ाज़ी के पास हाज़िर लाये मुद्दई के पास लाने से बरीउज़्ज़िम्मा न होगा हाँ अगर क़ाज़ी ने यह कह दिया हो कि मुद्दई तुम से कफ़ील तलब करता है तुम उसको कफ़ील दो तो अब मुद्दई के पास लाना होगा क़ाज़ी के पास लाने से बरीउज़्ज़िम्मा न होगा। (ख़ानिया)

मसअ्ला.31:– तालिब ने किसी को वकील किया कि मतलूब से ज़ामिन ले उसकी दो सूरतें हैं वकील ने किफ़ालत की अपनी तरफ़ निस्बत की या मुअक्किल की तरफ़, अगर अपनी तरफ़ निस्बत की तो कफ़ील से मुतालबा खुद वकील करेगा और मुअक्किल की तरफ़ निस्बत की तो मुअक्किल के लिये हक़्क़े मुतालबा है मगर कफ़ील ने अगर मुअक्किल के पास मतलूब को पेश कर दिया तो दोनों सूरतों में बरीउज़्ज़िम्मा होगया और वकील के पास हाज़िर लाया तो पहली सूरत में बरी होगा दुसरी सूरत में नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.32:– एक शख़्स की किफालत चन्द शख़्सों ने की अगर यह एक किफ़ालत हो तो उनमें किसी एक का हाज़िर लाना काफ़ी है सब बरी होगये और अगर मुतफ़र्रिक़ तौर पर सब ने किफ़ालत की है तो एक का हाज़िर लाना काफ़ी नहीं यानी यह बरी होगया दुसरे बरी न हुए। (आलमगीरी)

मसअ्ला.33:– किफ़ालत सहीह होने के लिये यह शर्त नहीं कि वक़्ते किफ़ालत दअ्वा सहीह हो बल्कि अगर दअ्वा में जिहालत है और किफ़ालत करली यह किफ़ालत सहीह है मसलन एक शख़्स

ने दुसरे पर एक हक़ का दअ़वा किया और यह बयान नहीं किया कि वह हक़ क्या है या सौ अशर्फ़ियों का दअ़वा किया और यह बयान नहीं किया कि वह अशर्फ़ियाँ किस क़िस्म की हैं, एक शख़्स ने मुद्दई से कहा उसको छोड़ दो मैं उसकी ज़ात का कफ़ील हूँ अगर मैं कल उसको हाज़िर न लाया तो सौ अशर्फ़ियाँ मेरे ज़िम्मे हैं यहाँ दो किफ़ालतें हैं एक नफ़्स की दूसरी माल की और दोनों सहीह हैं लिहाज़ा अगर दूसरे दिन हाज़िर न लाया तो अशर्फ़ियाँ देनी पड़ेंगी या वह हक़ देना होगा रहा यह कि क्योंकर मालूम होगा कि वह हक़ क्या है या अशरफ़ियाँ किस क़िस्म की है उसकी सूरत यह होगी कि मुद्दई अपने दावा की तफ़सील में जो बयान करे और उसको गवाहों से साबित करदे या मुद्दा अलैह उसकी तस्दीक़ करे कफ़ील के ज़िम्मे वह देना लाज़िम होगा और अगर न मुद्दई ने गवाहों से साबित किया न मुद्दाअलैह ने उसकी तस्दीक़ की बल्कि दोनों में इख़्तिलाफ़ हुआ तो मुद्दई का क़ौल मोअ़तबर है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार स.260)

मसअ्ला.34:– किफ़ालत बिल'माल की दो सूरतें हैं एक यह कि नफ़्से माल का ज़ामिन हो दूसरी यह कि तक़ाज़ा करने की ज़िम्मेदारी करे एक शख़्स का दूसरे के ज़िम्मे कुछ माल था तीसरे शख़्स ने तालिब से कहा कि मैं ज़ामिन होता हूँ कि उससे वसूल करके तुमको दूँगा यह माल की ज़मानत नहीं है कि अपने पास से देदे बल्कि तक़ाज़ा करने का ज़ामिन है कि जब उससे वसूल होगा देगा उस से माल का मुतालबा नहीं हो सकता, ज़ैद ने अम्र के हज़ार रूपये ग़सब कर लिये थे अम्र उस से झगड़ा कर रहा था कि मेरे रूपये देदे तीसरे शख़्स ने कहा लड़ो मत मैं उसका ज़ामिन हूँ कि उससे लेकर तुमको दूँगा इस ज़ामिन के ज़िम्मा लाज़िम है कि वसूल करके दे और अगर ज़ैद ने वह रूपये ख़र्च कर डाले तो यह भी न रहा कि वह रूपये वसूल करके दे सिर्फ़ तक़ाज़ा करने का ज़ामिन है। (रद्दुलमुहतार स.263)

मसअ्ला.35:– किफ़ालत उस वक़्त सहीह है जब वह अपने ज़िम्मा लाज़िम करे यानी कोई ऐसा लफ़्ज़ कहे जिससे इल्तिज़ाम समझा जाता हो मस्लन यह कि मेरे ज़िम्मे है या मुझ पर है मैं ज़ामिन हूँ, मैं किफ़ालत करता हूँ और अगर फ़क़त यह कहा कि फ़ुलाँ के ज़िम्मे जो तुम्हारा रूपया है उसको मैं तुम्हे दूँगा, मैं तस्लीम करूँगा, मैं वसूल करूँगा, इस कहने से कफ़ील न हुआ और अगर उन अलफ़ाज़ को तअ़लीक़ (शर्त) के तौर पर कहा कि वह नहीं देगा तो मैं दूँगा, मैं अदा करूँगा, यूँ कहने से कफ़ील होगया। (रद्दुलमुहतार स 262)

मसअ्ला.36:– अगर किसी वजह से असील से उस वक़्त मुतालबा न होसकता हो और उसकी किसी ने किफ़ालत करली किफ़ालत सहीह है और कफ़ील से उसी वक़्त मुतालबा होगा मसलन गुलाम महजूर (जिसको मालिक ने ख़रीद व फरोख़्त की मुमानअत कर दी हो) उसने किसी की चीज़ हलाक करदी या उस पर क़र्ज़ है उससे मुतालबा आज़ाद होने के बाद होगा मगर किसी ने उसकी किफ़ालत करली तो कफ़ील से अभी मुतालबा होगा यूँही मदयून के मुतअ़ल्लिक़ क़ाज़ी ने मुफ़्लिसी का हुक्म देदिया तो उससे मुतालबा मुअख़्ख़र होगया मगर कफ़ील से मुअख़्ख़र नहीं होगा (रद्दुलमुहतार स.262)

मसअ्ला.37:– माले मजहूल की किफ़ालत भी सहीह है और यह भी हो सकता है कि किफ़ालते नफ़्स व किफ़ालते माल में तर्दीद करे मस्लन यह कहे कि मैं फ़ुलाँ शख़्स का ज़ामिन या उसके ज़िम्मा जो फ़ुलाँ का माल है उसका ज़ामिन हूँ और कफ़ील को इख़्तियार है दोनों किफ़ालतों में से जिसको चाहे इख़्तियार करे।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार स.263)

मसअ्ला.38:– दो शख़्सों में दैन मुश्तरक है यानी उन दोनों का किसी के ज़िम्मे दैन था मस्लन दोनों ने एक मुश्तरक चीज़ किसी के हाथ बेची या उनके मूरिस् का किसी के ज़िम्मे दैन था यह दोनों उसमें शरीक हैं उनमें से एक दूसरे के लिये किफ़ालत नहीं कर सकता पूरे दैन का कफ़ील भी नहीं हो सकता और दूसरे के हिस्से का भी कफ़ील नहीं होसकता और अगर दोनों एक चीज़ में शरीक थे और दोनों ने अपना–अपना हिस्सा अलाहिदा–अलाहिदा बेचा एक अ़क़्द में बैअ़ नहीं किया

तो एक दूसरे के लिये किफ़ालत कर सकता है और पहली सूरतों में अगर एक ने दूसरे को बक़द्रे उसके हिस्से के बिला किफ़ालत देदिया यह देना दुरुस्त है मगर उसका मुआवज़ा नहीं मिलेगा(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.39:– औरत का नफ़्क़ा जो ज़न व शौहर की बाहम रज़ा'मन्दी से मुक़र्रर हुआ है या क़ाज़ी ने उसको मुक़र्रर कर दिया है उसकी किफ़ालत भी होसकती है या क़ाज़ी के हुक्म से नफ़्क़ा के लिये औरत ने क़र्ज़ लिया है औरत उसका मुतालबा शौहर से करेगी शौहर की तरफ़ से किसी ने किफ़ालत की यह किफ़ालत भी सहीह है आइन्दा के नफ़्क़ा की ज़मानत भी दुरुस्त है अय्यामे गुज़िश्ता का नफ़्क़ा बाक़ी है मगर उसका तक़र्रुर न तो बाहम रज़ा'मन्दी से हुआ न हुक्मे क़ाज़ी से उसकी ज़मानत सहीह नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार स.263)

मसअ्ला.40:– दैन महर की किफ़ालत सहीह है कि यह भी दैन सहीह है बदले किताबत की किफ़ालत सहीह नहीं कि यह दैन सहीह नहीं और किसी ने ना वाक़िफ़ी से ज़मानत करली और कुछ अदा भी कर दिया, फिर मालूम हुआ कि यह किफ़ालत सहीह न थी और मुझ पर अदा करना लाज़िम न था तो जो कुछ अदा कर चुका है वापस ले सकता है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार स.264)

मसअ्ला.41:– दूसरे की औरत से कहा मैं हमेशा के लिये तेरे नफ़्क़ा का ज़ामिन हूँ जब तक वह औरत उसके निकाह में रहेगी उस वक़्त तक यह कफ़ील है मरने के बाद या तलाक़ के बाद सिर्फ़ इद्दत तक ज़ामिन है उसके बाद किफ़ालत ख़त्म होगई, यह कह दिया कि फ़ुलाँ शख़्स को एक रूपया रोज़ाना देदिया करो उसका मैं ज़ामिन हूँ वह देता रहा एक कसीर रक़म होगई अब कफ़ील यह कहता है मेरा मतलब यह न था कि तुम इतनी रक़म कसीर उसे दे दोगे उसकी यह बात मोअ्तबर नहीं कुल रक़म देनी पड़ेगी, यूँही दुकानदार से यह कह दिया कि उसके हाथ जो कुछ बेचोगे वह मेरे ज़िम्मे है तो जो कुछ उसके हाथ बैअ् करेगा मुतालबा कफ़ील से होगा यह नहीं सुना जायेगा कि मेरा मतलब यह था, यह न था मगर यह ज़रूर है कि मकफ़ूल लहु ने उसे क़बूल कर लिया हो चाहे क़बूल के अलफ़ाज़ कहे हों या दलालतन क़बूल किया हो मस्लन उसके हाथ कोई चीज़ फ़िलहाल बैअ् करदी मगर उस बैअ् के बाद दोबारा सेहबारा बैअ् करेगा तो उसके स्मन का ज़ामिन न होगा कि यह हमेशा के लिये ज़मानत नहीं है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार स 264)

मसअ्ला.42:– एक शख़्स दूसरे से क़र्ज़ माँग रहा था उसने क़र्ज़ देने से इनकार कर दिया तीसरे शख़्स ने यह कहा उसको क़र्ज़ देदो मैं ज़ामिन हूँ उसने फ़ौरन क़र्ज़ देदिया यह ज़ामिन होगया कि उसका क़र्ज़ दे देना ही क़बूले किफ़ालत है। (रद्दुलमुहतार स.264)

मसअ्ला.43:– उसके हाथ फ़ुलाँ चीज़ बैअ् करो उसमें जो कुछ ख़सारा होगा मैं ज़ामिन हूँ यह किफ़ालत सहीह नहीं। (रद्दुलमुहतार स.264)

मसअ्ला.44:– यह कहा कि फ़ुलाँ शख़्स अगर तुम्हारी कोई चीज़ ग़सब कर लेगा वह मुझ पर है तो कफ़ील होगया और अगर यह कहा कि जो शख़्स तेरी चीज़ ग़सब करे मैं उसका ज़ामिन हूँ तो यह किफ़ालत बातिल है यूँही अगर यह कहा कि इस घर वाले जो चीज़ तेरी ग़सब करे मैं ज़ामिन हूँ यह किफ़ालत बातिल है जब तक किसी आदमी का नाम न ले। (दुर्रेमुख़्तार स.264)

मसअ्ला.45:– यह कहा था कि जो चीज़ फ़ुलाँ के हाथ बैअ् करोगे मैं ज़ामिन हूँ यह कहकर उसने अपना कलाम वापस लिया कह दिया मैं ज़ामिन नहीं अब अगर उसने बेचा तो वह ज़ामिन न रहा उससे मुतालबा नहीं हो सकता। (दुर्रेमुख़्तार स.265)

मसअ्ला.46:– यह कहता है कि मैंने एक शख़्स की किफ़ालत की है जिसका नाम नहीं जानता हूँ सूरत पहचानता हूँ यह इक़रार दुरुस्त है उसके बाद किसी शख़्स को लाकर कहता है कि यह वही है बरीउज़्ज़िम्मा होजायेगा। (दुर्रे मुख़्तार स.267)

मसअ्ला.47:– एक शख़्स ने बार बर्दारी के लिये जानवर किराये पर लिया या ख़िदमत के लिये गुलाम को इजारा पर लिया अगर वह जानवर और गुलाम मुअय्यन हैं यानी उस जानवर पर मेरा

सामान लादा जाये या यह गुलाम मेरी ख़िदमत करेगा उसकी किफ़ालत सहीह नहीं कि कफ़ील उसकी तस्लीम से आजिज़ है और गैर मुअय्यन हो तो किफ़ालत सहीह है। (दुर्रेमुख़्तार स.267)
मसअ्ला.48:– मबीअ् की किफ़ालत सहीह नहीं यानी एक शख़्स ने कोई चीज़ ख़रीदी कफ़ील ने मुश्तरी से कहा यह चीज़ अगर हलाक होगई तो मेरे ज़िम्मे है यह किफ़ालत सहीह नहीं कि मबीअ् हलाक होने की सूरत में बैअ् ही फ़स्ख होगई बाइअ् से किसी चीज़ का मुतालबा न रहा फिर किफ़ालत किस चीज़ की होगी। (रद्दुलमुहतार स.268)
मसअ्ला49:– मुअय्यन शय अगर किसी के पास हो उसकी दो सूरतें हैं वह चीज़ उसके ज़मान में है या नहीं अगर ज़मान में है तो ज़मान बिनफ़्सेही है या ज़मान बिग़ैरेही यह कुल तीन सूरतें हुईं अगर उसका कब्ज़ा कब्ज़ाये ज़मान न हो बल्कि कब्ज़ाये अमानत हो कि हलाक होने की सूरत में तावान देना न पड़े जैसे वदीअत (जिसको लोग अमानत कहते हैं) माले मुज़ारबत, माले शिरकत, आरियत, किराये की चीज़ जो किरायेदार के कब्ज़ा में है, कब्ज़ाये ज़मान जब कि ज़मान बिग़ैरेही हो उसकी मिसाल मबीअ् है जब कि बाइअ् के क़ब्ज़ा में हो या मरहून जो मुरतहिन के क़ब्ज़ा में हो कि मबीअ् हलाक होने से सुमन जाता रहता है और मरहून हलाक हो तो दैन जाता रहता है जिसका ज़मान बिऐनेही है उसकी मिसाल वह मबीअ् जिसकी बैअ् फ़ासिद हुई और वह मुश्तरी के क़ब्ज़ा में हो ख़रीदारी के तौर पर नर्ख़ करके चीज़ पर क़ब्ज़ा किया, मग़सूब और उनके अलावा वह चीज़ें कि हलाक होने की सूरत में उनकी क़ीमत देनी पड़ती है उस तीसरी क़िस्म में किफ़ालत सहीह है पहली दोनों क़िस्मों में किफ़ालत सहीह नहीं। (रद्दुलमुहतार स.268) इस क़ायदा कुल्लिया से यह बात मालूम हुई कि मरहून और वदीअत और मबीअ् की किफ़ालत सहीह नहीं है मगर इन चीज़ों की तस्लीम की किफ़ालत होसकती है यानी बाइअ् या मुरतहिन या अमीन से लेकर उसके क़ब्ज़ा दिलाने की किफ़ालत सहीह है मगर उस किफ़ालत का माहसल यह होगा कि चीज़ अगर मौजूद है तो तस्लीम करदे और हलाक होगई तो कुछ नहीं कफ़ील बरीउज़्ज़िम्मा होगया(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार स.268)
मसअ्ला.50:– बैअ् में समन की किफ़ालत सहीह है जब कि वह बैअ् सहीह हो किफ़ालत के बाद यह मालूम हुआ कि बैअ् सहीह न थी और कफ़ील ने बाइअ् को समन अदा करदिया है तो कफ़ील को इख़्तियार है कि जो कुछ अदा कर चुका है बाइअ् से वसूल करे या मुश्तरी से और अगर पहले वह बैअ् सहीह थी बाद में शर्ते फासिद लगाकर बैअ् को फ़ासिद कर दिया तो कफ़ील ने जो कुछ दिया है मुश्तरी से वसूल करेगा, और अगर मबीअ् में इस्तिहक़ाक़ हुआ जिसकी वजह से मुश्तरी से लेली गई या ख़ियारे शर्त, ख़ियारे ऐब, ख़ियारे रूयत की वजह से बाइअ् को वापस हुई तो कफ़ील बरी होगया क्योंकि इन सूरतों में मुश्तरी के ज़िम्मा सुमन देना न रहा लिहाज़ा किफ़ालत भी ख़त्म हो गई।(रद्दुलमुहतार जि.4 स.268)
मसअ्ला.51:– सबी महजूर (जिस बच्चा को खरीद व फ़रोख़्त की मुमानअत हो) ने कोई चीज़ ख़रीदी और किसी ने उसकी तरफ़ से सुमन की ज़मानत की यह किफ़ालत सहीह नहीं कि जब असील से मुतालबा नहीं हो सकता तो कफ़ील से क्योंकर होगा। (दुर्रेमुख़्तार स.268)
मसअ्ला.52:– एक शख़्स ने अपनी कोई चीज़ बैअ् करने के लिये दूसरे को वकील किया वकील ने चीज़ बेच डाली और मुअक्किल के लिये समन का खुद ही ज़ामिन बना यह किफ़ालत सहीह नहीं कि समन पर क़ब्ज़ा करना खुद उसी का काम है लिहाज़ा अपने लिये किफ़ालत होगई। (दुर्रेमुख़्तार स.270)
मसअ्ला.53:– वसी और नाज़िर मुश्तरी की तरफ़ से सुमन के ज़ामिन नहीं होसकते कि सुमन वसूल करना खुद उन्हीं का काम है और अगर यह मुश्तरी को समन मुआफ़ करदें तो मुश्तरी से मुआफ़ होगया मगर उनको अपने पास से देना होगा। (दुर्रेमुख़्तार स 270)
मसअ्ला.54:– मज़ारिब ने कोई चीज़ बैअ् की और रब्बुलमाल के लिये मुश्तरी की तरफ़ से ख़ुद ही ज़ामिन होगया यह किफ़ालत भी सहीह नहीं। (दुर्रेमुख़्तार स.270)

किफ़ालत को शर्त़ पर मुअ़ल्लक़ करना

मसअ्ला.55:– किफ़ालत को किसी शर्त़ पर मुअ़ल्लक़ करना भी स़ह़ीह़ है मगर यह ज़रूर है कि वह शर्त़ किफ़ालत के मुनासिब हो, उसकी तीन सूरतें हैं एक यह कि वह लूज़ूमे ह़क़ के लिये शर्त़ हो य़ानी वह शर्त़ न हो तो ह़क़ लाज़िम ही न हो मस्ल़न यह कि अगर मबीअ़ में कोई ह़क़दार पैदा होगया या अमीन ने अमानत से इनकार कर दिया या फुलाँ ने तुम्हारी कोई चीज़ ग़स़ब करली या उसने तुझे या तेरे बेटे को ख़ताअ़न क़त्ल कर डाला तो मैं ज़ामिन हूँ बदला मैं दूँगा यह वह शर्तें हैं कि अगर पाई न जायें तो मकफूल लहू का ह़क़ ही नहीं लिहाज़ा अगर यह कहा कि तुझको दरिन्दा मार डाले तो मैं ज़ामिन हूँ यह किफ़ालत स़ह़ीह़ नहीं कि दरिन्दा के मार डालने पर ह़क़ लाज़िम ही नहीं यूँही उसके यहाँ कोई मेहमान आया था उसको अपनी सवारी के जानवर का अन्देशा था कि कोई दरिन्दा न फाड़ खाये उसने कहा अगर दरिन्दा ने फाड़ खाया तो मैं ज़ामिन हूँ यह किफ़ालत स़ह़ीह़ नहीं ज़मान देना लाज़िम नहीं, दूसरी यह कि इम्काने इस्तीफ़ा के लिये वह शर्त़ हो कि उसके पाये जाने से ह़क़ का वसूल करना आसानी से मुम्किन होगा मस्ल़न यह कहा कि अगर ज़ैद आजाये तो जो कुछ उस पर दैन है वह मुझ पर है य़ानी मैं ज़ामिन हूँ और ज़ैद ही मकफूल अ़न्हु है या मकफूल अ़न्हु का मुज़ारिब या अमीन या ग़ासिब है ज़ाहिर है कि ज़ैद के आने से मुत़ालबा अदा करने में सुहूलत होगी और अगर ज़ैद अजनबी शख़्स़ हो तो उसके आने पर मुअ़ल्लक़ करना स़ह़ीह़ नहीं तीसरी सूरत यह कि वह शर्त़ ऐसी हो कि उसके पाये जाने से ह़क़ का वुसूल करना दुश्वार होजाये मस्ल़न यह कि मकफूल अ़न्हु ग़ायब होगया तो मैं ज़ामिन हूँ कि जब वह न होगा त़ालिब क्योंकर ह़क़ वसूल कर सकता है लिहाज़ा उसने उस सूरत में अपने को कफ़ील बनाया है कि उससे वसूल न होसके यूँही यह कहा कि अगर वह मर जाये और कुछ माल न छोड़े या तुम्हारा माल उससे ब'वजहे उसके मुफ़्लिस होजाने के न वसूल होसके या वह तुम्हें न दे तो मुझ पर है इन सब सूरतों में शर्त़ पर मुअ़ल्लक़ करना स़ह़ीह़ है और अगर कफ़ील ने यह कहा था कि मदयून अगर न दे तो मैं दूँगा त़ालिब ने मदयून से माँगा उसने देने से इनकार कर दिया कफ़ील पर उसी वक़्त देना वाजिब होगया अगर यह शर्त़ की कि छः माह तक वह अदा न करदे तो मुझ पर है यह शर्त़ स़ह़ीह़ है बाद उस मुद्दत के कफ़ील पर देना लाज़िम होगा(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुह़तार स.265)

मसअ्ला.56:– किफ़ालत को ऐसी शर्त़ पर मुअ़ल्लक़ किया जो मुनासिब न हो तो शर्त़ फ़ासिद है और किफ़ालत स़ह़ीह़ है मस्ल़न यह कि अगर ज़ैद घर में गया यह शर्त़ स़ह़ीह़ नहीं। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.57:– यह कहा फुलाँ के हाथ बैअ़ करो जो बेचोगे उसका मैं ज़ामिन हूँ त़ालिब कहता है मैंने उसके हाथ बेचा और उसने क़ब्ज़ा भी कर लिया कफ़ील कहता है कि नहीं बेचा और मकफूल अ़न्हु कफ़ील के क़ौल की तस्दीक़ करता है अगर वह माल मौजूद है कफ़ील से मुत़ालबा होगा और हलाक होगया तो जब तक त़ालिब गवाहों से न स़ाबित करले मुत़ालबा नहीं कर सकता, सूरते मज़कूरा में अगर कफ़ील यह कहे तूने पाँच सौ में बैअ़ की और त़ालिब कहता है हज़ार में बैअ़ की है और मकफूल अ़न्हु त़ालिब की बात का इक़रार करता है तो कफ़ील से हज़ार का मुत़ालबा होगा(ख़ानिया)

मसअ्ला.58:– किफ़ालत की कोई मीआ़द मजहूल ज़िक्र की उसकी दो सूरतें हैं उसमें बहुत ज़्यादा जिहालत है या थोड़ी सी जिहालत है अगर ज़्यादा जिहालत है मस्ल़न आँधी चलना या मेंह बरसना यह मीआ़द बात़िल है और किफ़ालत स़ह़ीह़ और अगर थोड़ी जिहालत है मस्ल़न खेत कटना या तनख़्वाह मिलना तो किफ़ालत भी स़ह़ीह़ है और मीआ़द भी स़ह़ीह़। (फ़त्ह़)

मसअ्ला.59:– तअ़लीक़ की सूरत में अगर मकफूल अ़न्हु मजहूल हो किफ़ालत स़ह़ीह़ नहीं और तअ़लीक़ न हो मस्ल़न जो कुछ तुम्हारा फुलाँ या फुलाँ पर है मैं उसका ज़ामिन हूँ यह किफ़ालत स़ह़ीह़ है और कफ़ील को इख़्तियार होगा कि उन दोनों में जिस को चाहे मुअ़य्यन करले यूँहीं अगर यह कहा कि फुलाँ के नफ़्स का या जो कुछ उसके ज़िम्मा तेरा माल है मैं उसका कफ़ील हूँ यह किफ़ालत स़ह़ीह़ है और कफ़ील को इख़्तियार होगा कि उसको ह़ाज़िर करदे या माल देदे(फ़त्हुल'क़दीर)

कफ़ील ने माल अदा कर दिया तो किस सूरत में वापस ले सकता है

मसअ्ला.60:— किफ़ालत बिलमाल की दो सूरतें हैं। मकफ़ूल अन्हु के कहने से किफ़ालत की है या बिग़ैर कहे। अगर कहने से किफ़ालत हुई तो कफ़ील जो कुछ दैन (क़र्ज़) अदा करेगा मकफ़ूल अन्हु से लेगा और अगर बिग़ैर कहे अपने आप ही ज़ामिन होगया तो एह़सान व तबर्रोअ् (बख़्शिश व हदिया) है जो कुछ अदा करेगा मकफ़ूल अन्हु से नहीं ले सकता। (हिदाया)

मसअ्ला.61:— बाज़ सूरतों में मकफ़ूल अन्हु के बिग़ैर कहे किफ़ालत करने से भी अगर अदा किया है तो वसूल कर सकता है मस्लन बाप ने नाबालिग़ लड़के का निकाह किया और महर का ज़ामिन होगया उसके मरने के बाद औरत या उसके वली ने शौहर के बाप के तर्का में से महर वसूल कर लिया तो दीगर वुरसा अपना हिस्सा पूरा पूरा लेंगे और लड़के के हिस्सा में से बक़द्र महर के कम कर दिया जायेगा कि बाप चूंकि वली था उसका ज़ामिन होना गोया लड़के के कहने से था और अगर बाप मरा नहीं ज़िन्दा है उसने ख़ुद महर अदा किया और लोगों को गवाह कर लिया है कि लड़के से वसूल कर लूँगा तो वसूल कर सकता है वरना नहीं दूसरी सूरत यह है कि कफ़ील ने किफ़ालत से इन्कार कर दिया मुद्दई ने गवाहों से साबित कर दिया कि उसने मकफ़ूल अन्हु के हुक्म से किफ़ालत की थी उसने दैन अदा किया मकफ़ूल अन्हु से वापस ले सकता है तीसरी सूरत यह है कि उसने किफ़ालत की और मकफ़ूल लहू ने अभी क़बूल नहीं की थी कि मकफ़ूल अन्हु ने इजाज़त देदी यह किफ़ालत भी उसके कहने से क़रार पायेगी। (रद्दुलमुहतार स.271)

मसअ्ला.62:— अजनबी शख़्स ने कह दिया कि तुम फ़ुलाँ की ज़मानत करलो उसने करली और दैन अदा कर दिया मकफ़ूल अन्हु से वापस नहीं ले सकता मकफ़ूल अन्हु के कहने से किफ़ालत की है उसमें भी वापस लेने के लिये यह शर्त है कि मकफ़ूल अन्हु ने यह कह दिया हो कि मेरी तरफ़ से किफ़ालत करलो या मेरी तरफ़ से अदा कर दो या यह कि जो कुछ तुम दोगे वह मुझ पर है या मेरे ज़िम्मा है और अगर फ़क़त इतना ही कहा है कि हज़ार रूपये की मस्लन तुम ज़मानत या किफ़ालत करलो तो वापस नहीं ले सकता मगर जब कि कफ़ील ख़लीत़ हो तो इस सूरत में भी वापस लेसकता है ख़लीत़ से मुराद उस मक़ाम पर वह शख़्स है जो उस के एयाल में है मस्लन बाप या बेटा, बेटी या अजीर या शरीक बशिरकते एनान या वह शख़्स जिससे उसका लेन देन हो उस के यहाँ माल रखता हो। (फ़त्हुल क़दीर, रद्दुल मुहतार स.271)

मसअ्ला.63:— एक शख़्स ने दूसरे से कहा फ़ुलाँ शख़्स को हज़ार रुपये देदो उसने देदिये कहने वाले से वापस नहीं लेसकता मगर जिसको दिये हैं उससे ले सकता है। (ख़ानिया)

मसअ्ला.64:— सबी महजूर (जिस बच्चे को ख़रीदने बेचने की रोक हो) ने उस को किफ़ालत के लिए कहा उसने किफ़ालत करली और माल अदा करदिया वापस नहीं लेसकता यूँहीं ग़ुलाम महजूर की तरफ़ से उसके कहने से किफ़ालत की और अदा करदिया वापस नहीं ले सकता जब तक वह आज़ाद न हो। और सबी माज़ून व ग़ुलाम माज़ून (वह ग़ुलाम जिसको आक़ा की तरफ़ से ख़रीदने बेचने की इजाज़त हो) से वापस मिलेगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार स.271)

मसअ्ला.65:— ग़ुलाम ने आक़ा की तरफ़ से किफ़ालत की और आज़ाद होने के बाद अदा किया वापस नहीं ले सकता यूँहीं आक़ा ने ग़ुलाम की तरफ़ से किफ़ालत की और ग़ुलाम के आज़ाद होने के बाद अदा किया वापस नहीं ले सकता। (आलमगीरी जि.3, स.366)

मसअ्ला.66:— समन की किफ़ालत की फिर बाइअ् ने कफ़ील को समन हिबा करदिया या कफ़ील ने मुश्तरी से वसूल किया उसके बाद मुश्तरी ने मबीअ् में ऐब देखा उसको वापस कर दिया और बाइअ् से समन वापस लिया कफ़ील से न बाइअ् ले सकता है न मुश्तरी। (आलमगीरी जि.3,स.367)

मसअ्ला.67:— कफ़ील ने जिस चीज़ की ज़मानत की वही चीज़ अदा की या दूसरी चीज़ दी मस्लन हज़ार रुपये की ज़मानत की और हज़ार रुपये अदा किये या रुपये की जगह अशर्फ़ियाँ या

कोई दूसरी चीज़ दी पहली सूरत में जो अदा किया है वापस ले सकता है और दूसरी सूरत में वह मिलेगा जिस का ज़ामिन हुआ था यानी रुपये लेसकता है अशर्फ़ियों का मुतालबा नहीं कर सकता। और अगर उसी जिन्स की चीज़ मकफूल लहू को दी मगर उस से घटिया या बढ़िया दी जब भी वही ले सकता है जिस की ज़मानत की कि उस सूरत में यानी जबकि दूसरी चीज़ दी या घटिया बढ़िया चीज़ दी तो यह ख़ुद दैन का मालिक होगया और तालिब के क़ाइम मक़ाम होगया।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.68:– एक शख़्स ने दूसरे से कहा तुम मेरा क़र्ज़ा अदा करदो मैं तुम को देदूँगा उसने क़र्ज़ में दूसरी चीज़ दी तो जो चीज़ दी है वही वापस लेगा जो उसके ज़िम्मा था वह नहीं ले सकता कि यह दैन का मालिक नहीं हुआ। (फ़तहुल क़दीर जि.6 स.305)

मसअला.69:– असील (जिस पर मुतालबा है) पर हज़ार रुपये थे कफ़ील ने तालिब से पाँच सौ रुपये में मुसालहत करली और दे दिये मकफूल अन्हु से पाँचसौ ही ले सकता है कि यह इसक़ात (कम कर देना) या अबरा (बरी करना, मुआफ़ करदेना) है लिहाज़ा असील से भी पाँच सौ जाते रहे। (रद्दुलमुहतार जि.7 स.637)

मसअला.70:– वापसी के लिये यह भी शर्त है कि कफ़ील ने उस वक़्त दिया हो कि असील पर वाजिबुल'अदा हो और अगर असील पर अभी देना वाजिब भी नहीं हुआ है कि कफ़ील ने देदिया तो वापस नहीं लेसकता मस्लन मुस्ताजिर की तरफ़ से किसी ने उजरत की ज़मानत की थी और अभी अजीर ने काम किया ही नहीं है कि उजरत वाजिब होती कफ़ील ने उसे देदी वापस नहीं ले सकता यूँहीं अगर कफ़ील के देने से पहले ख़ुद असील ने दैन अदा करदिया और कफ़ील को उस की इत्तिला नहीं हुई उसने सभी देदिया असील से वापस नहीं लेसकता कि जिस वक़्त उसने दिया है असील पर देना वाजिब ही न था बल्कि उस सूरत में दाइन से वापस लेगा। (रद्दुल'मुहतार जि.7 स.637)

मसअला.71:– कफ़ील ने जिसके लिए किफ़ालत की थी (यानी तालिब) वह मरगया और ख़ुद कफ़ील उसका वारिस है तो कफ़ील दैन का मालिक होगया मकफूल अन्हु यानी मदयून से मुतालबा करेगा यूँहीं अगर तालिब ने कफ़ील को दैन हिबा करदिया यह मालिक हो गया।(दुर्रेमुख़्तार जि.7 स.63)

मसअला.72:– एक शख़्स ने हज़ार रुपये में घोड़ा ख़रीदा मुश्तरी की तरफ़ से स्मन की किसी ने ज़मानत की कफ़ील ने अपने पास से रुपये देदिये और मुश्तरी से अभी वसूल नहीं किये थे बिग़ैर वसूल किये कफ़ील ग़ायब होगया और घोड़े के मुतअल्लिक़ किसी ने अपना हक़ साबित किया और लेलिया मुश्तरी चाहता है कि बाइअ़ से स्मन वापस ले तो जब तक कफ़ील हाज़िर न होजाये बाइअ़ से समन नहीं ले सकता अब कफ़ील आगया तो उसे इख़्तियार है बाइअ़ से स्मन वापस ले या मुश्तरी से अगर बाइअ़ से लेगा तो बाइअ़ मुश्तरी से नहीं ले सकता और मुश्तरी से लेगा तो मुश्तरी बाइअ़ से वापस लेगा और अगर कफ़ील बाइअ़ को देने के बाद मुश्तरी से वसूल करके ग़ायब हुआ है उसके बाद हक़ साबित हुआ तो मुश्तरी बाइअ़ से स्मन वापस लेगा कफ़ील के आने का इन्तिज़ार न करेगा। (आलमगीरी)

मसअला.73:– मुसलमान दारुलहर्ब में मुक़य्यद था रुपया देकर किसी ने उस को ख़रीदा अगर उस के बिग़ैर हुक्म ऐसा किया तो एहसान है वापस नहीं ले सकता और उसके कहने से ऐसा किया तो वापस ले सकता है चाहे उसने वापस देने को कहा हो या न कहा हो यूँहीं अगर किसी ने यह कह दिया कि मेरे बाल बच्चों पर अपने पास से ख़र्च करो या मेरे मकान की तामीर में अपना रुपया ख़र्च करो उसने ख़र्च किया तो वसूल कर सकता है। (ख़ानिया)

मसअला.74:– एक शख़्स ने दूसरे से कहा फुलाँ शख़्स को मेरी तरफ़ से हज़ार रुपये देदो उसने देदिये यह हिबा हुक्म देने वाले की तरफ़ से हुआ मगर जिसने दिये वह न कहने वाले से ले सकता है न उससे जिसको दिये और अगर यह कहा था कि उस को हज़ार रुपये देदो मैं ज़ामिन हूँ तो कहने वाले से वसूल कर सकता है। (ख़ानिया)

मसअला.75:– एक शख़्स ने दूसरे से कहा फुलाँ को मेरी तरफ़ से हज़ार रुपये क़र्ज़ देदो उसने देदिये वापस ले सकता है और अगर सिर्फ़ इतना ही कहा कि फुलाँ को हज़ार रुपये क़र्ज़ देदो तो वापस नहीं ले सकता अगर्चे वह उस का ख़लीत हो। (आलमगीरी)

मसअला.76:– एक शख़्स ने दूसरे से कहा मेरी क़सम का कफ़्फ़ारा अदा करदो या मेरी ज़कात अपने माल से अदा करदो या मेरा हज्जे बदल करादो उसने यह सब कर दिया तो कहने वाले से वसूल नहीं कर सकता। (ख़ानिया)

मसअला.77:– एक ने दूसरे से कहा मुझको हज़ार रुपये हिबा करदो फुलाँ शख़्स उसका ज़ामिन है और वह शख़्स भी यहाँ मौजूद है उसने कहा हाँ उस के हाँ कहने पर उसने देदिये यह हिबा उस ज़ामिन की त़रफ़ से होगा और देने वाले के हज़ार रुपये उसके ज़िम्मा क़र्ज़ हैं। (आलमगीरी)

मसअला.78:– एक शख़्स के दूसरे के ज़िम्मा हज़ार रुपये हैं मदयून ने किसी से कहा उसके हज़ार रुपये अदा करदो यह कहता है मैंने अदा कर दिये मगर दाइन इन्कार करता है तो क़सम के साथ दाइन का क़ौल मोअ़तबर है और वह शख़्स मदयून से वापस नहीं ले सकता अगर्चे मदयून ने उस की तस्दीक़ की हो यूँहीं मकफ़ूल अ़न्हु के कहने से किसी ने किफ़ालत की कफ़ील कहता है मैंने माल अदा करदिया और मकफ़ूल अ़न्हु भी उसकी तस्दीक़ करता है मगर त़ालिब इन्कार करता है त़ालिब का क़ौल क़सम के साथ मोअ़तबर है उसने क़सम खाकर मकफ़ूल अ़न्हु से माल वसूल कर लिया अब कफ़ील मकफ़ूल से वापस नहीं ले सकता है और अगर मकफ़ूल अ़न्हु भी इन्कार करता है कफ़ील ने गवाहों से अपना देना साबित कर दिया तो कफ़ील वापस लेसकता है और त़ालिब के मुक़ाबिल में यही गवाह मोअ़तबर हैं अगर्चे त़ालिब मौजूद न हो। (आलमगीरी जि.3 स.270)

मसअला.79:– एक शख़्स ने दूसरे से कहा फुलाँ शख़्स के मेरे ज़िम्मा हज़ार रुपये हैं तुम अपनी फुलाँ चीज़ उसके हाथ इन हज़ार रुपयों में बैअ़ करदो उसने बेचदी यह जाइज़ है फिर अगर बैअ़ के बाद त़ालिब कहता है उसने मेरे हाथ बैअ़ की मगर क़ब्ज़ा से पहले उसी के पास चीज़ हलाक होगई और वह दोनों कहते हैं तूने क़ब्ज़ा करलिया था उसमें भी त़ालिब का क़ौल मोअ़तबर है उसने क़सम खाली तो बैअ़ फ़स्ख़ मानी जायेगी और त़ालिब अपने रुपये मदयून से वसूल करेगा और जिसने बैअ़ की थी वह मदयून से कुछ नहीं लेसकता और अगर बाइअ़ ने गवाहों से त़ालिब का क़ब्ज़ा साबित कर दिया तो बैअ़ फ़स्ख़ नहीं मानी जायेगी और हज़ार रुपये मदयून से वसूल करेगा और त़ालिब मदयून से कुछ नहीं ले सकता अगर्चे बाइअ़ ने त़ालिब की अ़दमे मौजूदगी में गवाह पेश किये हों जब कि मदयून भी मुन्किर हो।(आलमगीरी)

मसअला.80:– कफ़ील जब तक त़ालिब को अदा न करदे मकफ़ूल अ़न्हु से दैन (क़र्ज़) का मुत़ालबा नहीं कर सकता और अगर मकफ़ूल अ़न्हु ने कफ़ील के पास अदा करने से पहले कोई चीज़ रहन रखदी यह रहन रखना दुरुस्त है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल मुह़तार जि.7 स.639)

मसअला.81:– त़ालिब यानी दाइन को इख़्तियार है कि कफ़ील से मुत़ालबा करे या असील से या दोनों से अगर मकफ़ूल लहू ने कफ़ील का मुलाज़िमा किया (यानी जहाँ जाता है त़ालिब भी उसके साथ जाता है पीछा नहीं छोड़ता) तो कफ़ील असील के साथ ऐसा ही कर सकता है और अगर त़ालिब ने कफ़ील को ह़ब्स (क़ैद) करा दिया तो कफ़ील असील को ह़ब्स करा सकता है कि कफ़ील का मुलाज़िमा या ह़ब्स असील की वजह से है यह हुक्म उस वक़्त है कि असील के कहने से उस ने किफ़ालत की हो और असील का खुद कफ़ील के ज़िम्मा दैन न हो और अगर कफ़ील के ज़िम्मा मत़लूब का दैन हो तो कफ़ील न मुलाज़िमा कर सकता है न ह़ब्स करा सकता है और यह भी ज़रूरी है कि असील कफ़ील के उसूल में से न हो और अगर असील उसूल में है तो कफ़ील उस के साथ यह फ़ेअ़ल नहीं कर सकता कफ़ील का मुलाज़िमा या ह़ब्स उस वक़्त होसकता है कि असील त़ालिब के उ़सूल में से न हो वरना उसूल के मुलाज़िमा व ह़ब्स का सबब ख़ुद यही त़ालिब हुआ और कोई शख़्स अपने बाप, माँ, दादा, दादी वग़ैरा उसूल के साथ यह ह़रकत करने का मजाज़ नहीं। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार जि.7 स.640)

कफ़ील के बरीउज़्ज़म्मा होने की सूरतें

मसअला.82:– कफ़ील का दैन अदा कर देना कफ़ील व असील दोनों की बराअ़त का सबब है यानी अब त़ालिब का किसी से तक़ाज़ा न रहा न असील से न कफ़ील से मगर जब कि कफ़ील ने अपने मदयून पर ह़वाला कर दिया और यह शर्त़ करदी कि फ़क़त़ मैं बरी हूँ तो असील बरी न हुआ और अगर शर्त़ न की तो उस सूरत में भी दोनों दैन से बरी होगये। (दुर्रेमुख़्तार जि.7 स.641)

मसअ्ला.83:– असील ने दैन अदा कर दिया तो कफ़ील भी बरियुज़्ज़िम्मा होगया अब कफ़ील से भी मुतालबा नहीं होसकता। (आलमगीरी जि.3 स.262)

मसअ्ला.84:– तालिब ने असील से दैन मुआफ़ करदिया कफ़ील भी बरी होगया मगर यह ज़रूर है कि मकफ़ूल अन्हु ने क़बूल भी कर लिया हो और अगर असील ने उसके मुआफ़ करने पर न रोका न क़बूल किया और मरगया तो उसका मरना क़बूल के क़ाइम मक़ाम होगया यानी दैन मुआफ़ होगया और कफ़ील बरी होगया और अगर तालिब ने मुआफ़ करदिया मगर असील ने इन्कार कर दिया मुआफ़ी को मन्ज़ूर नहीं किया तो मुआफ़ी रद होगई और दैन ब'दस्तूर क़ाइम रहा यूँहीं अगर तालिब ने असील को दैन हिबा कर दिया और मक़बूल से पहले असील मरगया बरी होगया और असील ने हिबा को रद करदिया तो रद होगया और दैन बदस्तूर बाक़ी रहा कोई बरी न हुआ। (आलमगीरी जि.3 स.262)

मसअ्ला.85:– असील के मरने के बाद तालिब ने दैन मुआफ़ करदिया या हिबा करदिया और वुरसा ने क़बूल करलिया तो मुआफ़ी और हिबा सहीह हैं और रद कर दिया तो रद होगया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.86:– तालिब ने असील को मोहलत देदी कफ़ील के लिये भी मोहलत होगई उससे भी मीआद के अन्दर मुतालबा नहीं होसकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.87:– तालिब ने कफ़ील को बरी करदिया यानी उससे मुतालबा मुआफ़ करदिया या उस को मोहलत देदी तो असील न बरी होगा न उस के लिए मोहलत होगी और असील अगर्चे बरी न हुआ मगर कफ़ील को हिबा या सदक़ा करदिया हो तो चुँके तालिब का मुतालबा साक़ित होगया कफ़ील असील से बक़द्र दैन वसूल करेगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल मोहतार जि.7 स.643)

मसअ्ला.88:– कफ़ील को मुआफ़ करदिया तो चाहे कफ़ील उसको क़बूल करे या न करे बहर हाल मुआफ़ी होगई अलबत्ता अगर उसको हिबा या सदक़ा करदिया है तो क़बूल करना ज़रूरी है कफ़ील को मोहलत दी मगर उसने मन्ज़ूर नहीं की तो मोहलत कफ़ील के लिये भी न हुई। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.89:– एक शख़्स पर दैन वाजिबुल'अदा है यानी फ़ौरी देना है मीआद नहीं है उसकी किफ़ालत किसी ने यूँ की कि इतने दिनों के बाद देने का मैं ज़ामिन हूँ तो यह मीआद असील के लिये भी होगई यानी उससे भी मुतालबा इतने दिनों के लिए टल गया। (हिदाया) और अगर कफ़ील ने मीआद को अपने ही लिये रखा मस्लन यह कहा कि मुझ को इतने दिनों की मोहलत दो या तालिब ने वक़्ते किफ़ालत ख़ुसूसियत के साथ कफ़ील को मोहलत दी है तो असील के लिये मोहलत नहीं यूँहीं क़र्ज़ की किफ़ालत मीआद के साथ की तो कफ़ील के लिए मीआद होगई मगर असील के लिये नहीं हुई कि अगर्चे किफ़ालत में मीआद है मगर जिसपर क़र्ज़ है उसके लिये मीआद हो नहीं सकती। (रद्दुलमुहतार जि.7 स.643)

मसअ्ला.90:– कफ़ील से दैन का मुतालबा किया उससे कोई तअ़ल्लुक़ नहीं इस कहने से असील बरी न हुआ। (दुर्रेमुख़्तार जि.7 स.645)

मसअ्ला.91:– दैन मीआदी था उसकी किफ़ालत की थी कफ़ील मरगया तो कफ़ील के हक़ में मीआद बाक़ी न रही और असील के हक़ में मीआद बदस्तूर है यानी मकफ़ूल लहू कफ़ील के वुरसा से अभी मुतालबा कर सकता है और उसके वुरसा ने दैन अदा करदिया तो असील से उस वक़्त वापस लेने के हक़दार होंगे जब मीआद पूरी होजाये यूहीं अगर असील मरगया तो उसके हक़ में मीआद साक़ित होगई कि उसके तर्का से मरने के बाद ही वसूल कर सकता है और कफ़ील के हक़ में मीआद बदस्तूर बाक़ी है कि अन्दरुने मीआद उससे मुतालबा नहीं होसकता और असील व कफ़ील दोनों मरगये तो तालिब को इख़्तियार है जिसके तर्का से चाहे दैन वसूल करले मीआद तक इन्तिज़ार करने की ज़रूरत नहीं। (दुर्रेमुख़्तार जि.7 स.645)

मसअ्ला.92:– मीआदी दैन को कफ़ील ने मीआद पूरी होने से पहले अदा करदिया तो असील के हक़ में मीआद बदस्तूर है यानी उससे अन्दरुने मीआद वापस नहीं लेसकता। (रद्दुलमुहतार जि.7 स.645)

मसअ्ला.93:– जिस दैन की किफ़ालत का वह हज़ार रुपये था और पाँचसौ में मुसालहत हुई उस

की चार सूरतें हैं 1.यह शर्त हुई कि असील व कफ़ील दोनों पाँचसौ से बरियुज़्ज़िमा हैं 2.या यह कि असील बरी 3.या सुकूत (खामोश) रहा उसका ज़िक्र ही नहीं कि कौन बरी उन तीनों सूरतों में बाकी पाँचसौ से दोनों बरी होगये 4.और अगर फ़क़त कफ़ील का बरी होना शर्त किया यानी कफ़ील से पाँचसौ ही का मुतालबा होगा तो तन्हा कफ़ील पाँचसौ देदे तो बाक़ी का मुतालबा असील से करेगा और कफ़ील ने उसके कहने से किफ़ालत की है तो पाँचसौ असील से वापस ले(रद्दुलमुहतार जि.7 स.645)

मसअ्ला.94:– तालिब ने कफ़ील से यह मुसालहत (सुलह) की कि अगर तुम मुझको इतना दो तो मैं तुम को किफ़ालत से बरी कर दूँगा यानी किफ़ालत से बरी करने का मुआवज़ा लेना चाहता है यह सुलह सहीह नहीं और कफ़ील पर उस माल का देना लाज़िम नहीं फिर अगर वह किफ़ालत बिन्नफ़्स थी तो किफ़ालत बाक़ी है कफ़ील बरी नहीं और अगर किफ़ालत बिलमाल थी तो किफ़ालत जाती रही। (रद्दुलमुहतार जि.7 स.646)

मसअ्ला.95:– एक शख़्स ने दूसरे की किफ़ालत बिन्नफ़्स की। तालिब कहता है कि उसपर मेरा कोई हक़ नहीं उस कहने से कफ़ील बरी नहीं है बल्कि उस शख़्स को हाज़िर लाना होगा और अगर तालिब ने यह कहा कि उस पर कोई मेरा हक़ नहीं न मेरी जानिब से न दूसरे की जानिब से विलायत, विसाया, वकालत किसी एअ्तिबार से मेरा हक़ नहीं कफ़ील बरी होगया(आलमगीरी जि.3 स.263)

मसअ्ला.96:– यह कहा कि फ़ुलाँ शख़्स पर जो हज़ार रुपये हैं उनका मैं ज़ामिन हूँ फिर उस शख़्स मकफ़ूल अ़न्हु ने गवाहों से साबित कर दिया कि किफ़ालत से पहले ही अदा कर चुका है असील बरी होगया मगर कफ़ील बरी न हुआ उसको देना पड़ेगा और अगर गवाहों से यह साबित किया है कि किफ़ालत के बाद अदा करदिया तो दोनों बरी होगये। (बहर जि.6 स.378)

मसअ्ला.97:– कफ़ील ने दैन अदा करने से पहले असील को दैन से बरी कर दिया यह सहीह है यानी उसके बाद दैन अदा करके असील से वापस नहीं लेसकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.98:– तालिब ने कफ़ील से यह कहा कि मैंने तुमको बरी कर दिया वह बरी होगया उससे यह साबित नहीं होगा कि कफ़ील ने तालिब को दैन अदा करके छुटकारा हासिल किया लिहाज़ा कफ़ील को असील से वापस लेने का हक़ न होगा और तालिब को असील से दैन वसूल करने का हक़ रहेगा। और अगर तालिब ने यह कहा कि तू बरी होगया उसका यह मतलब होगा कि दैन अदा करके बरी हुआ है यानी मैंने दैन वसूल पालिया इस सूरत में कफ़ील असील से ले सकता है और तालिब असील से नहीं ले सकता। (हिदाया वग़ैरा जि.2 स.92) यह उस वक़्त है जब तालिब मौजूद न हो ग़ायब हो और अगर मौजूद हुआ तो उससे दरयाफ़्त किया जाये कि उस कलाम का क्या मतलब है वह कहे मैंने दैन वसूल पालिया तो दोनों सूरतों में कफ़ील रुजूअ् कर सकता है और यह कहे कि कफ़ील को मैंने मुआफ़ कर दिया तो दोनों सूरतों में रुजूअ् नहीं कर सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.99:– तालिब ने दस्तावेज़ इस मज़मून की लिखी कि कफ़ील ने जिन रुपयों की किफ़ालत की थी उससे बरी होगया तो यह दैन वसूल पा लेने का इक़रार है। (आलमगीरी जि.3 स.264)

मसअ्ला.100:– एक शख़्स ने महर की किफ़ालत की अगर दुख़ूल से पहले औरत की तरफ़ से कोई ऐसी बात हुई जिसकी वजह से जुदाई होगई तो कुल महर साक़ित और कफ़ील बिलकुल बरी और अगर शौहर ने दुख़ूल से पहले तलाक़ देदी तो आधा महर साक़ित (ख़त्म) और कफ़ील भी आधे से बरी(आलमगीरी)

मसअ्ला.101:– औरत ने महर के बदले शौहर से खुलअ् किया और उस औरत का शौहर के ज़िम्मे दैन है किसी ने उस दैन की किफ़ालत करली उसके बाद उन दोनों ने फिर आपस में निकाह कर लिया तो कफ़ील बरी न हुआ औरत उससे मुतालबा कर सकती है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.102:– कफ़ील की बराअ्त (छुटकारा हासिल करना) को शर्त पर मुअ़ल्लक़ किया अगर वह शर्त ऐसी है जिसमें तालिब का फ़ायदा है मस्लन अगर तुम इतना देदो बरियुज़्ज़िम्मा हो जाओगे यह तअ्लीक़ सहीह है और अगर वह शर्त ऐसी नहीं है मस्लन जब कल का दिन आयेगा तुम बरी हो

जाओगे यह तअ़लीक़ बातिल है यानी बरी न होगा ब दस्तूर कफ़ील रहेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.103:– असील की बराअ्त (छुटकारा हासिल करना) को शर्त पर मुअ़ल्लक़ करना सहीह नहीं यानी वह बरी नहीं होगा तालिब ने मदयून(कर्ज़दार)से कहा जो कुछ मेरा माल तुम्हारे ज़िम्मा है अगर मुझे वसूल न हुआ और तुम मरगये तो मुआफ़ है और वह मरगया मुआफ़ न हुआ और अगर यह कहा कि मैं मरजाऊँ तो मुआफ़ है और तालिब मरगया मुआफ़ होगया कि यह वसियत है(आलमगीरी स.265)

मसअ्ला.104:– कफ़ील बिन्नफ़्स की बराअ्त को शर्त पर मुअ़ल्लक़ किया उसकी तीन सूरतें हैं (1)यह शर्त है कि तुम दस रुपये देदो बरी हो उस सूरत में बराअ्त (छुटकरा) होगई और शर्त बातिल और (2)अगर वह माल का भी कफ़ील है तालिब ने यह कहा कि माल अगर देदो तो किफ़ालत बिन्नफ़्स से बरी हो उस में बराअ्त और शर्त दोनों जाइज़ कि माल देदेगा बरी होजायेगा (3)कफ़ील बिन्नफ़्स से यह शर्त की कि माल देदो और असील से वसूल करलो इस सूरत में बराअ्त भी न हुई और शर्त भी बातिल। (ख़ानिया)

मसअ्ला.105:– असील ने कफ़ील को माल देदिया कि तालिब को अदा करदे और वह कफ़ील तालिब के कहने से ज़ामिन हुआ था अब असील वह माल कफ़ील से वापस नहीं लेसकता अगरचे कफ़ील ने तालिब को अदा न किया हो। यूहीं असील को यह हक़ भी नहीं कि कफ़ील को अदा करने से मनअ् करदे यह उस सूरत में है जब असील ने कफ़ील को बर वजहे क़ज़ा दैन का रुपया दिया हो यानी यह कहकर कि मुझे अन्देशा है कि कहीं तालिब अपना हक़ तुम से न वसूल करे लिहाज़ा क़ब्ल इसके कि तुम उसे दो मैं तुम को देता हूँ और अगर कफ़ील को बर वजहे रिसालत दिया हो यानी उसके हाथ तालिब के पास भेजा है तो वापस भी ले सकता है और मनअ् भी कर सकता है और अगर वह शख़्स उसके बिग़ैर कहे क़फ़ील होगया है उसने तालिब को देने के लिए उसे रुपये देदिये तो जब तक अदा नहीं किया है वापस भी ले सकता है और उसे देने से मनअ् भी कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला106:– असील ने कफ़ील को दिया था मगर उसने तालिब को नहीं दिया और असील ने खुद तालिब को दिया तो कफ़ील से वापस लेसकता है कि अब उसको रोकने का कोई हक़ न रहा(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.107:– कफ़ील ने असील से रुपया वसूल किया और तालिब को नहीं दिया उस रुपये से कुछ मनफ़अ़त हासिल की यह नफ़अ् उसके लिये हलाल है कि बर वजहे क़ज़ा जो कुछ कफ़ील वसूल करेगा उसका मालिक होजायेगा और अगर असील ने उसके हाथ तालिब के यहाँ भेजे हैं और उसने नहीं दिये बल्कि तसर्रुफ़ करके नफ़अ् उठाया तो यह नफ़अ् ख़बीस् है कि इस तक़दीर पर वह रुपया उसके पास अमानत था उसको तसर्रुफ़ करना हराम था उस नफ़अ् को सदक़ा कर देना वाजिब है। (दुर्रेमुख़्तार जि.7 स.652)

मसअ्ला.108:– उस सूरत में कि कफ़ील ने असील से चीज़ ली और तालिब को नहीं दी और उस से नफ़अ् उठाया अगर वह चीज़ ऐसी हो जो मुतअ़य्यन करने से मुअ़य्यन हो जाती है मस्लन असील पर गेहूँ वाजिब थे उसने कफ़ील को दिये कफ़ील ने उनमें नफ़अ् हासिल किया तो बेहतर यह है कि नफ़अ् असील को वापस करदे और असील के लिये वह नफ़अ् हलाल है अगर्चे मालदार हो और अगर वह चीज नक़ूद की क़िस्म से हो मस्लन रुपया अशर्फ़ी तो नफ़अ् वापस करना मन्दूब भी नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.109:– असील ने कफ़ील से कहा तुम बैअ् ऐनह करो और जो कुछ ख़सारा होगा वह मेरे ज़िम्मा है (यानी दस रुपये की मसलन ज़रूरत है कफ़ील ने किसी ताजिर से मांगे वह अपने यहाँ से कोई चीज़ जिस की वाजिबी क़ीमत दस रुपये है कफ़ील के हाथ पन्द्रह रुपये में बैअ् करदी कफ़ील उस को बाज़ार में दस रुपये में फ़रोख़्त कर देता है उस सूरत में ताजिर को पाँच रुपये का नफ़अ् हो जाता है और कफ़ील को पाँच रुपये का ख़सारा होता है उस को असील कहता है कि मेरे ज़िम्मा है) कफ़ील ने उस के कहने से बैअ् ऐनिही की ताजिर से जो चीज़ नुक़सान के साथ ख़रीदी है उस का मालिक कफ़ील है और नुक़सान भी कफ़ील ही के सर रहेगा असील से उसका मुतालबा नहीं कर सकता क्योंकि असील के लफ़्ज़ से अगर ख़सारा

की ज़मानत मुराद है तो यह बातिल उसकी ज़मानत नहीं होसकती और अगर तौकील (वकालत) क़रार दी जाये तो यह भी सहीह नहीं कि मजहूल की तौकील नहीं होतीं (दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.110:– यूँ किफ़ालत की कि जो कुछ उसके जिम्मा लाजिम होगा या साबित होगा या क़ाज़ी जो कुछ उस पर लाज़िम कर देगा मैं उसकी किफ़ालत करता हूँ और असील गायब होगया मुद्दई ने क़ाज़ी के सामने कफ़ील के मुक़ाबले में गवाह पेश किये कि उसके जिम्मा मेरा इतना है तो जब तक असील हाज़िर न हो गवाह मक़बूल नहीं जब असील हाज़िर होगा उसके मुक़ाबिले में गवाह सुने जायेंगे और फ़ैसला होगा उसके बाद कफ़ील से मुतालबा होगा। (दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.111:– मुद्दई ने यह दअ्वा किया कि फुलाँ शख़्स जो गायब है उसके जिम्मा मेरा इतना रुपया है और यह शख़्स उस का कफ़ील है और उसको गवाहों से साबित कर दिया उस सूरत में सिर्फ़ कफ़ील के मुक़ाबले में फ़ैसला होगा और अगर मुद्दई ने यह भी साबित किया है कि यह उसके हुक्म से ज़ामिन हुआ था तो कफ़ील व असील दोनों के मुक़ाबले में फ़ैसला होगा और कफ़ील का असील से वापस लेने का हक़ होगा। (दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.112:– किफ़ालत बिद्दर्क (यानी बाइअ् की तरफ से उस बात की किफ़ालत कि अगर मबीअ् (बेची गई चीज़) का कोई दूसरा हक़दार साबित हुआ तो स़मन का मैं जिम्मेदार हूँ) यह कफ़ील की जानिब से तस्लीम है कि मबीअ् बाइअ् की मिल्क है लिहाज़ा जिसने किफ़ालत की वह खुद उसका दअ्वा नहीं कर सकता कि मबीअ् मेरी मिल्क है जिस तरह कफ़ील को शुफ़अ् करने का हक नहीं कि उसका कफ़ील होना इस बात की दलील है कि मुश्तरी के ख़रीदने पर राज़ी है यूँहीं जिस दस्तावेज़ में यह तहरीर है कि मैंने अपनी मिल्क फुलाँ के हाथ बैअ् की या मैंने **बैअ् बात** नाफ़िज़ फुलाँ के हाथ की इस दस्तावेज़ पर किसी ने अपनी गवाही लिखी या काज़ी के यहाँ बैअ् की शहादत दी उन सब सूरतों में बाइअ् की मिल्क का इक़रार है कि यह शख़्स अब अपनी मिल्क का दअ्वा नहीं कर सकता और अगर दस्तावेज़ में फ़क़त इतनी बात लिखी है कि फुलाँ शख़्स ने यह चीज़ बैअ् की बाइअ् ने उसमें अपनी मिल्क का ज़िक्र नहीं किया है न यह कि बैअ् बात नाफ़िज़ है ऐसी दस्तावेज़ पर गवाही करना बाइअ् की मिल्क का इक़रार नहीं या उसने अपनी गवाही के अल्फ़ाज़ यह तहरीर किये कि आक़िदैन ने बैअ् का इक़रार किया मैं उसका शाहिद हूँ यह भी मिल्के बाइअ् का इक़रार नहीं यानी ऐसी शहादत तहरीर करने के बाद भी अपनी मिल्क का दअ्वा कर सकता है। (दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.113:– किफ़ालत बिद्दर्क में महज़ इस्तिहक़ाक़ (हक साबित होने) से ज़ामिन से मुआखज़ा नहीं होगा जब तक क़ाज़ी यह फ़ैसला न करदे कि मबीअ् मुस्तहक़ की है और बैअ् को फ़स्ख न करदे। बैअ् फ़स्ख़ होने के बाद बेशक कफ़ील से स़मन का मुतालबा हो सकता है(दुर्रेमुख्तार जि 7 स 662)

मसअ्ला.114:– इस्तिहक़ाक़ मुब्तिल (जिस का ज़िक्र बाबुलइस्तिहक़ाक में हो चुका है) मस्लन दअ्वा नसब (नसब का दावा मस्लन यह मेरा बेटा या बेटी है) या यह दअ्वा किया कि जो जमीन खरीदी है यह वक्फ़ है या यह पहले मस्जिद थी उनमें अगर्चे क़ाज़ी ने यह फ़ैसला न दिया हो कि स़मन मकफ़ूल अन्हु (बाइअ्) से वापस लिया जाये मुश्तरी कफ़ील से वसूल कर सकता है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.115:– एक ने दूसरे से कहा तुम अपनी फुलाँ चीज़ उसके हाथ एक हज़ार में बैअ् करदो मैं उस हज़ार का ज़ामिन हूँ उसने दो हज़ार में बैअ् की कफ़ील एक ही हज़ार का ज़ामिन है और पाँचसौ में बैअ् की तो कफ़ील पाँचसौ का ज़ामिन है। (आलमगीरी जि.3 स.272)

मसअ्ला.116:– यह कहा कि जो कुछ तेरा फुलाँ के ज़िम्मे है मैं उसका ज़ामिन हूँ और गवाहों से साबित हुआ कि उसके ज़िम्मा हज़ार रुपये हैं तो कफ़ील से हज़ार का मुतालबा होगा और अगर गवाहों से साबित न हुआ तो कफ़ील क़सम के साथ जितने का इक़रार करे उसी का मुतालबा होगा और अगर मकफ़ूल अन्हु उससे ज़्यादा का इक़रार करता है तो यह ज़ाइद कफ़ील से नहीं लिया जा सकता मकफ़ूल अन्हु से लिया जायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.117:– कफ़ील ने हालते सेहत में यह कहा जो कुछ फुलाँ शख़्स अपने ज़िम्मा फुलाँ के

लिए इक़रार करले उसका मैं ज़ामिन हूँ उसके बाद कफ़ील बीमार होगया यानी मरज़ुल मौत में मुब्तला होगया और उसके पास जो कुछ है वह सब दैन में मुस्तग़रक़ है मकफ़ूल अ़न्हु ने तालिब के लिए एक हज़ार का इक़रार किया कफ़ील के ज़िम्मा एक हज़ार लाज़िम होगये यूंही अगर कफ़ील के मरने के बाद एक हज़ार का इक़रार किया तो यह कफ़ील के ज़िम्मा लाज़िम होगये मगर चूँकि कफ़ील के पास जो कुछ माल था वह दैन मैं मुस्तग़रक़ था लिहाज़ा मकफ़ूल लहू दीगर क़र्ज़ ख़्वाहों की तरह कफ़ील के तर्का से अपने हिस्सा की क़द्र वसूल करेगा यह नहीं हो सकता कि यह कह दिया जाये कि दैन से बची हुई कोई जायदाद नहीं है लिहाज़ा मकफ़ूल लहू को नहीं मिलेगा सिर्फ़ क़र्ज़ ख़्वाह लेंगे। (ख़ानिया)

मसअ्ला.118:– एक शख़्स दे दूसरे की तरफ़ से किफ़ालत की और यह शर्त की कि तुम अपनी फ़ुलाँ चीज़ मेरे पास रहन रख दो मगर तालिब से यह नहीं कहा कि मैंने उस शर्त पर किफ़ालत की है अब मकफ़ूल अ़न्हु अपनी चीज़ रहन रखना नहीं चाहता तो कफ़ील को किफ़ालतं फ़स्ख़ करने का इख़्तियार नहीं तालिब का मुतालबा देना पड़ेगा क्योंकि रहन की शर्त अगर थी तो मकफ़ूल अ़न्हु से थी तालिब को उस शर्त से तअ़ल्लुक़ नहीं हाँ अगर तालिब से कह दिया था कि तेरे लिए इस शर्त पर किफ़ालत करता हूँ कि मकफ़ूल अ़न्हु अपनी फ़ुलाँ चीज़ मेरे पास रहन रखे तो बेशक रहन न रखने की सूरत में किफ़ालत को फ़स्ख़ कर सकता है और अब तालिब उससे मुतालबा नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.119:– कफ़ील ने यूँ किफ़ालत की कि मकफ़ूल अ़न्हु की जो अमानत मेरे पास है मैं उससे तुम्हारा दैन अदा करूँगा यह किफ़ालत सहीह है और अमानत से उसको दैन अदा करना होगा और अमानत उसके पास से हलाक होगई तो किफ़ालत भी ख़त्म होगई कफ़ील से मुतालबा नहीं होसकता।(आ)

मसअ्ला.120:– यूँ ज़मानत की थी कि उस चीज़ के समन से दैन अदा करेगा और वह चीज़ कफ़ील ही की है मगर बैअ् करने से पहले ही वह चीज़ हलाक होगई तो किफ़ालत बातिल होगई और अगर वह चीज़ सौ रुपये में बेची और उसकी वाजिबी क़ीमत भी सौ ही है और दैन हज़ार रुपये है तो कफ़ील को सौ ही देने होंगे। (आलमगीरी जि.3 स.283)

मसअ्ला.121:– सौ रुपये की ज़मानत की और यह कह दिया कि पचास यहाँ देगा और पचास दूसरे शहर में मगर मीआ़द नहीं मुक़र्रर की है तालिब को इख़्तियार है जहाँ चाहे वसूल कर सकता है और अगर वह चीज़ जो ज़ामिन देगा ऐसी है जिस में बार बर्दारी सर्फ़ होगी तो जिस मक़ाम में देना क़रार पाया है वहीं मुतालबा हो सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.122:– एक शख़्स ने कपड़ा ग़सब किया था मालिक ने उसे पकड़ा और दूसरा शख़्स ज़ामिन हुआ कि उसको कल मैं हाज़िर कर दूँगा मुद्दई ने कहा अगर तुम उसको न लाये तो कपड़े की क़ीमत दस रुपये है वह तुमको देने होंगे कफ़ील ने कहा दस नहीं बीस में दूँगा और मकफ़ूल लहू ख़ामोश रहा तो कफ़ील से दस ही वसूल किये जा सकते हैं। (ख़ानिया)

मसअ्ला.123:– एक शख़्स ने दूसरे से कहा तुम उस रास्ते से जाओ अगर तुम्हारा माल छीन लिया जाये मैं ज़ामिन हूँ यह किफ़ालत सहीह है कफ़ील को माल देना होगा और अगर यह कहा कि उस रास्ते से जाओ अगर दरिन्दे ने तुम्हारा माल हलाक कर दिया, तुम्हारे बेटे को मार डाला तो मैं ज़ामिन हूँ यह किफ़ालत सहीह नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.124:– दूसरे के दैन की किफ़ालत की उस शर्त पर कि फ़ुलाँ और फ़ुलाँ भी इतने की किफ़ालत करें और उन दोनों ने इन्कार कर दिया तो पहली किफ़ालत लाज़िम रहेगी उसको फ़स्ख़ करने का इख़्तियार न होगा। (ख़ानिया)

मसअ्ला.125:– एक शख़्स ने दूसरे की तरफ़ से हज़ार रुपये की ज़मानत की थी अब कफ़ील यह कहता है वह रुपये जुये के थे या शराब के दाम थे या उसी क़िस्म की किसी दूसरी चीज़ का नाम

लिया यानी वह रुपये मकफ़ूल अन्हु पर वाजिब नहीं थे लिहाज़ा किफ़ालत सहीह नहीं हुई और मुझ से मुतालबा नहीं होसकता कफ़ील की यह बात क़ाबिले समाअत नहीं बल्कि मकफ़ूल लहू के मुक़ाबिल में अगर गवाह भी इस बात पर पेश करे और मकफ़ूल लहू इन्कार करता हो तो कफ़ील के गवाह भी नहीं लिये जायेंगे और अगर मकफ़ूल लहू पर हल्फ़ रखना चाहे तो हल्फ़ नहीं दिया जायेगा और अगर इस बात के गवाह पेश करना चाहता है कि ख़ुद मकफ़ूल लहू ने ऐसा इक़रार किया था जब भी गवाह मसमूअ़ न होंगे (गवाह सुने नहीं जायेंगे)। (आलमगीरी जि.3 स.280)

मसअ्ला.126:– कफ़ील ने तालिब का मुतालबा अदा कर दिया और मकफ़ूल अन्हु से वापस लेना चाहता है मकफ़ूल अन्हु उसी क़िस्म का उज़्र पेश करता है कि वह रुपया जिसका मुझ पर मुतालबा था वह जुये का था यानी जुये में मैं हार गया था उसका मुतालबा था या शराब का समन था और मकफ़ूल लहू मौजूद नहीं है कि उससे दरयाफ़्त किया जाये यह गवाह पेश करना चाहता है गवाह नहीं लिये जायेंगे बल्कि यह हुक्म दिया जायेगा कि कफ़ील का रुपया अदा करदे और उससे यह कहा जायेगा कि तुझ को यह दअ्वा करना हो तो तालिब के मुक़ाबिल में कर और अगर तालिब ने अब तक कफ़ील से वसूल नहीं किया है उसने क़ाज़ी के सामने इक़रार करलिया कि यह मुतालबा शराब के समन का है तो असील व कफ़ील दोनों बरी कर दिये जायें और अगर क़ाज़ी ने कफ़ील को बरी कर दिया मगर मकफ़ूल अन्हु ने हाज़िर होकर यह इक़रार किया कि वह रुपया क़र्ज़ था या मबीअ़ का समन था और तालिब भी उसकी तस्दीक़ करता है तो असील पर उस माल का देना लाज़िम है और कफ़ील के मुक़ाबले में उन दोनों की बात क़ाबिले एअ्तिबार न रही। (ख़ानिया)

मसअ्ला.127:– तीन शख़्सों के हज़ार, हज़ार रुपये एक शख़्स के ज़िम्मा हैं मगर सबका दैन अलग अलग है यह नहीं कि वह रुपये सबके मुश्तरक हों तो उनमें दो तीसरे के लिए यह गवाही दे सकते हैं कि उसके रुपये की फ़ुलाँ शख़्स ने ज़मानत की थी और अगर रुपये में शिरकत हो तो गवाही मक़बूल नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.128:– ख़िराजे मोज़िफ़ में (जिसकी मिक़दार मुअय्यन होती है कि सालाना इतना देना होता है जिस का ज़िक्र किताबुज़्ज़कात में गुज़रा) किफ़ालत सहीह है और उसके मुक़ाबिल में रहन रखना भी सहीह है और ख़िराज मुक़ासिमा की न किफ़ालत सहीह हो सकती है न उसके मुक़ाबिल में रहन रखना सहीह है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.129:– सलतनत की जानिब से जो मुतालबात लाज़िम होते हैं उनकी किफ़ालत भी सहीह है ख़्वाह वह मुतालबा जाइज़ हो या ना'जाइज़ क्योंकि यह मुतालबा दैन के मुतालबा से भी सख़्त होता है मसलन आजकल गवरमेन्ट ज़मीनदारों से माल गुज़ारी (ज़मीन का सरकारी तै किया हुआ टेक्स) और अबवाब (ज़मीन का सरकारी ग़ैर मुक़र्ररा टेक्स) लेती है अगर उसके देने में ताख़ीर करे फ़ौरन हिरासत में लेलिया जाता है जायदाद नीलाम करदी जाती है उसी तरह मकान का टेक्स, इन्कम टेक्स, चुंगी कि इन तमाम मुतालबात के अदा करने पर आदमी मजबूर है लिहाज़ा इन सब की किफ़ालत सहीह है और जिसपर मुतालबा है उसके हुक्म से किफ़ालत की है तो कफ़ील उससे वापस लेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.130:– दलाल (कमीशन एजेन्ट) के पास से चीज़ जाती रही उस पर तावान वाजिब नहीं और अगर दलाल यह कहता है कि मैंने किसी दुकान में रखदी थी याद नहीं किस दुकान में रखी थी तो तावान देना पड़ेगा और अगर दलाल ने दुकानदार को दिखाई और दाम तै होगये और उसके पास रखकर चला गया दुकानदार के पास से जाती रही या दलाल ने बाज़ार में वह चीज़ दिखाई फिर किसी दुकानदार पर रख दी यहाँ से जाती रही तो तावान देना होगा और दुकानदार से तावान नहीं लिया जा सकता। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.131:– किसी ने दलाल को चीज़ दी और दलाल को मालूम होगया कि यह चीज़ चोरी की है और उसका मालिक फ़ुलाँ शख़्स है उसने मालिक को चीज़ देदी दलाल से मुतालबा नहीं हो सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.132:– दलाल ने बाइअ् के लिए समन की ज़मानत की यह किफ़ालत सहीह नहीं(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.133:– एक शख़्स ने कहा फुलाँ शख़्स पर मेरे इतने रुपये हैं अगर तुम वसूल कर लाओ तो दस रुपये तुम को दूँगा उस वसूल करने वाले को उजरते मिस्ल मिलेगी जो दस रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। (दुर्रेमुख़्तार जि.7 स.628)

दो शख़्स किफ़ालत करें उसकी सूरतें

मसअ्ला.134:– दो शख़्सों पर दैन है मस्लन दोनों ने कोई चीज़ सौ रुपये में ख़रीदी थी और उन में हर एक ने दूसरे की तरफ़ से उसके कहने से किफ़ालत की यह किफ़ालत सहीह है और उस सूरत में चूंकि हर एक निस्फ़ दैन में असील है और निस्फ़ में कफ़ील है लिहाज़ा जो कुछ अदा करेगा जब तक निस्फ़ से ज़्यादा न हो वह इसालतन क़रार पायेगा यानी वह रुपया अदा किया जो उस पर इसालतन था शरीक से वसूल नहीं कर सकता और जब निस्फ़ से ज़्यादा अदा किया तो जो कुछ ज़्यादा दिया है किफ़ालत में शुमार होगा शरीक से वसूल कर सकता है। (हिदाया)

मसअ्ला.135:– सूरते मज़कूरा में सिर्फ़ एक ने दूसरे की तरफ़ किफ़ालत की है और कफ़ील ने कुछ अदा किया और कहता है कि मैंने जो कुछ अदा किया है बतौर किफ़ालत है उसकी बात मक़बूल है यानी दूसरे मदयून मकफूल अन्हु से वापस ले सकता है। (रद्दुलमुहतार जि.2 स.96)

मसअ्ला.136:– दो शख़्सों पर दैन है और हर एक ने दूसरे की तरफ़ से किफ़ालत की मगर दोनों पर दो किस्म के दैन हैं एक पर मीआदी दैन है और दूसरे पर फ़ौरन वाजिबुल'अदा है और जिस पर मीआदी दैन है उसने मीआद से पहले एक रक़म अदा की और यह कहता है मैंने दूसरे की तरफ़ से यानी किफ़ालत के रुपये अदा किये हैं उसकी बात क़ाबिले तस्लीम है जो कुछ उसने दिया है दूसरे से वसूल कर सकता है और जिसके ज़िम्मा फ़ौरन वाजिबुल'अदा है उसने दिया और कहता यह है कि किफ़ालत के रुपये अदा किये हैं तो जब तक मीआद पूरी न होजाये दूसरे से वसूल नहीं कर सकता और अगर एक पर क़र्ज़ है दूसरे के ज़िम्मा मबीअ् का समन है और हर एक ने दूसरे की किफ़ालत की तो जो अदा करे यह नियत कर सकता है कि अपने साथी की तरफ़ से अदा करता हूँ यानी उससे वसूल कर सकता है। (रद्दुलमुहतार जि.7 स.681)

मसअ्ला.137:– एक शख़्स पर दैन है दो शख़्सों ने उसकी किफ़ालत की यानी हर एक ने पूरे दैन की ज़मानत की फिर हर एक कफ़ील ने दूसरे कफ़ील की तरफ़ से भी किफ़ालत की उस सूरते मफ़रूज़ा में एक कफ़ील जो कुछ अदा करेगा उसका निस्फ़ दूसरे से वसूल कर सकता है और यह भी हो सकता है कि कुल रुपया असील से वसूल करे और अगर तालिब ने एक को बरी कर दिया तो दूसरा बरी न होगा क्योंकि यहाँ हर एक कफ़ील है और असील भी है और कफ़ील के बरी करने से असील बरी नहीं होता। (हिदाया जि.2 स.96)

मसअ्ला.138:– दो शख़्सों के माबैन शिरकते मुफ़ावज़ा थी और दोनों अलाहिदा होगये क़र्ज़ ख़्वाह को इख़्तियार है कि उनमें जिस से चाहे पूरा दैन वसूल कर सकता है क्योंकि शिरकते मुफ़ावज़ा में हर एक दूसरे का कफ़ील होता है और एक ने जो दैन अदा किया है अगर वह निस्फ़ तक है तो दूसरे से वसूल नहीं कर सकता और निस्फ़ से ज़्यादा दे चुका तो यह रक़म अपने साथी से वसूल कर सकता है। (हिदाया जि.2 स.96)

मसअ्ला.139:– अपने दो गुलामों से अक़्दे किताबत किया उनमें हर एक ने दूसरे की किफ़ालत की तो जो कुछ बदले किताबत एक अदा करेगा उसका निस्फ़ दूसरे से वसूल कर सकता है। अगर मौला ने उनमें से बादे अक़्दे किताबत एक को आज़ाद कर दिया यह आज़ाद होगया और उसके मुक़ाबले में जो कुछ बदले किताबत था साक़ित होगया और दूसरे का बदले किताब बाक़ी है और इख़्तियार है जिससे चाहे वसूल करे क्योंकि एक असील है दूसरा कफ़ील है अगर कफ़ील से लिया तो यह असील से वसूल कर सकता है। (हिदाया)

मसअला.140:– किसी ने गुलाम की तरफ़ से माल की किफ़ालत की उस किफ़ालत का असर मौला (आक़ा) के हक़ में बिल्कुल न होगा यानी कफ़ील मौला से रुपया वसूल नहीं कर सकता उस किफ़ालत का असर यह होगा कि गुलाम जब आज़ाद होजाये उससे वसूल किया जाये और कफ़ील को यह रूपया फ़िल'हाल अदा करना होगा अगर्चे उसकी शर्त न हो हाँ अगर किफ़ालत के वक़्त ही मीआद की शर्त हो तो जब तक मीआद पूरी न हो दैन अदा करना वाजिब नहीं। (हिदाया, फ़त्हुलक़दीर)

मसअला.141:– एक शख़्स ने यह दअ्वा किया कि यह गुलाम मेरा है किसी ने उसकी किफ़ालत की उसके बाद गुलाम मरगया और मुद्दई ने गवाहों से अपनी मिल्क साबित करदी कफ़ील को उस की क़ीमत देनी पड़ेगी और अगर गुलाम पर माल का दअ्वा होता और किफ़ालत बिन्नफ़्स करता फिर वह मर जाता तो कफ़ील बरी हो जाता। (हिदाया जि.2 स.98)

हवाला का बयान

हवाला जाइज़ है मदयून (मक़रूज़) कभी दैन अदा करने से आजिज़ होता है और दाइन (क़र्ज़ देने वाला) का तक़ाज़ा होता है इस सूरत में दाइन को दूसरे पर हवाला कर देता है और कभी यूँ होता है कि मदयून का दूसरे पर दैन है मदयून अपने दाइन को उस दूसरे पर हवाला कर देता है क्योंकि दाइन को उस पर इत्मिनान होता है वह ख़्याल करता है कि उससे बा'आसानी मुझे वसूल हो जायेगा बिलजुमला उस की मुतअ़द्दिद सूरतें हैं और उसकी हाजत भी पेश आती है। इसी लिए हदीस में इरशाद फ़रमाया कि तवंगर (मालदार) का दैन अदा करने में देर करना ज़ुल्म है और जब मालदार पर हवाला कर दिया जाये तो दाइन क़बूल करले इस हदीस को बुख़ारी व मुस्लिम व अबूदाऊद व तिबरानी वग़ैरहुम ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत किया।

मसअला.1:– दैन को अपने ज़िम्मा से दूसरे के ज़िम्मा की तरफ़ मुन्तक़िल कर देने को हवाला कहते हैं मदयून को मुहील कहते हैं और दाइन को मोहताल और मोहताल लहू और मुहाल, मुहाल लहू और हवील कहते हैं और जिसपर हवाला किया गया उसको मोहताल अ़लैहि और मुहाल अ़लैहि कहते हैं और माल को मुहाल बिह कहते हैं। (दुर्रेमुख़्तार, जि.4 स.705)

मसअला.2:– हवाला के रुक्न ईजाब व क़बूल हैं मसलन मदयून यह कहे मेरे ज़िम्मा जो दैन है फ़ुलाँ शख़्स पर मैंने उसका हवाला किया मोहताल लहू और मोहताल अ़लैहि ने कहा हमने क़बूल किया। (आलमगीरी जि.3 स.295)

हवाला के शराइत

मसअला.3:– हवाला के लिये चन्द शराइत हैं **1.**मुहील का आ़क़िल बालिग़ होना मजनून या ना'समझ बच्चे ने हवाला किया यह सहीह नहीं। और ना'बालिग़ आ़क़िल ने जो हवाला किया यह इजाज़ते वली पर मौक़ूफ़ है उसने जाइज़ कर दिया नाफ़िज़ होजायेगा वरना नाफ़िज़ न होगा मुहील का आज़ाद होना शर्त नहीं अगर गुलाम माज़ून'लहू है तो मोहताल अ़लैहि दैन अदा करने के बाद उससे वसूल कर सकता है और महजूर (यानी उसके मालिक ने उसे ख़रीद व फ़रोख़्त से रोक दिया हो) है तो जब तक आज़ाद न हो उससे वसूल नहीं किया जा सकता मुहील अगर मर्ज़ुल मौत में मुब्तला है जब भी हवाला दुरुस्त है यानी सेहत शर्त नहीं मुहील का राज़ी होना भी शर्त नहीं यानी अगर मदयून ने खुद हवाला न किया बल्कि मोहताल अ़लैह ने दाइन से यह कह दिया कि फ़ुलाँ शख़्स पर जो तुम्हारा दैन है उसको मैं अपने ऊपर हवाला करता हूँ तुम उसको क़बूल करो उसने मन्ज़ूर कर लिया हवाला सहीह होगया उसको दैन अदा करना होगा मगर मदयून से उस सूरत में वसूल नहीं कर सकता कि यह हवाला उसके हुक्म से नहीं हुआ। (आलमगीरी जि.3 स.295) **2.**मोहताल का आ़क़िल बालिग़ होना मजनून या ना'समझ बच्चा ने हवाला क़बूल कर लिया सहीह न हुआ और नाबालिग़ समझ वाल ने किया तो इजाज़ते वली पर मौक़ूफ़ है जब कि मोहताल अ़लैहि ब'निस्बत मुहील के ज़्यादा मालदार हो **3.**मोहताल का राज़ी होना अगर मोहताल यानी दाइन को हवाला

क़बूल करने पर मजबूर किया गया हवाला सहीह न हुआ। 4.मोहताल का उसी मज्लिस में क़बूल करना यानी अगर मदयून ने हवाला कर दिया और दाइन वहाँ मौजूद नहीं है जब उस को ख़बर पहुँची उसने मन्ज़ूर कर लिया यह हवाला सहीह न हुआ। हाँ अगर मज्लिसे हवाला में किसी ने उस की तरफ़ से क़बूल कर लिया जब ख़बर पहुँची उसने मन्ज़ूर कर लिया यह हवाला सहीह हो गया। 5.मोहताल अलैहि का आक़िल, बालिग़ होना समझ वाल बच्चा ने हवाला क़बूल कर लिया जब भी सहीह नहीं अगर्चे उसे तिजारत की इजाज़त हो अगर्चे उसके वली ने भी मन्ज़ूर कर लिया हो 6.मोहताल अलैहि का क़बूल करना यह ज़रूर नहीं कि उसी मज्लिसे हवाला ही में उसने क़बूल किया हो बल्कि अगर वहाँ मौजूद नहीं है मगर जब ख़बर मिली उसने मन्ज़ूर कर लिया सहीह हो गया यह ज़रूर नहीं कि मुहील का उसके ज़िम्मा दैन हो। हो या न हो जब क़बूल कर लेगा सहीह हो जायेगा। 7.जिस चीज़ का हवाला किया गया हो वह दैन लाज़िम हो। ऐन का हवाला या दैन ग़ैर लाज़िम मस्लन बदले किताबत का हवाला सहीह नहीं खुलासा यह कि जिस दैन की किफ़ालत नहीं हो सकती उसका हवाला भी नहीं हो सकता।

मसअ्ला.4:– मोहताल'अलैहि ने दूसरे पर हवाला कर दिया और तमाम शराइत पाये जाते हों। यह हवाला भी सहीह है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.5:– दैन मजहूल का हवाला सहीह नहीं मस्लन यह कह दिया कि जो कुछ तुम्हारा फ़ुलाँ के ज़िम्मा मुतालबा साबित हो उसको मैंने अपने ऊपर हवाला किया यह सहीह नहीं। (रद्दुलमुहतार स.290)

मसअ्ला.6:– माले ग़नीमत दारुल'इस्लाम में लाकर जमअ् कर दिया गया है मगर अभी उसकी तक़सीम नहीं हुई ग़ाज़ी ने दैन लेकर अपना काम चलाया और दाइन को बादशाह पर हवाला कर दिया कि ग़नीमत से जो मेरा हिस्सा मिले इतना उस शख़्स को दिया जाये यह हवाला सहीह है यूँहीं जो शख़्स जायदादे मौक़ूफ़ा की आमदनी का हक़दार है उसने क़र्ज़ लिया और मुतवल्ली पर दाइन को हवाला कर दिया कि मेरे हिस्सा की आमदनी से उसका दैन अदा किया जाये यह हवाला भी सहीह है। (रद्दुलमुहतार स.291) यूंही मुलाज़िम पर दैन है जिसके यहाँ नौकर है उसपर हवाला कर दिया कि मेरी तनख़्वाह से उसका दैन अदा कर दिया जाये सहीह है।

मसअ्ला.7:– जब हवाला सहीह होगया मुहील यानी मदयून दैन से बरी होगया जब तक दैन के हलाक होने की सूरत पैदा न हो मुहील को दैन से कोई तअ़ल्लुक़ न रहा दाइन को यह हक़ न रहा कि उससे मुतालबा करे अगर मुहील मरजाये मोहताल उसके तर्का से दैन वसूल नहीं कर सकता अलबत्ता वुरसा से कफ़ील ले सकता है कि दैन हलाक होने की सूरत में तर्का से दैन वसूल हो सके। दाइन मुहील को मुआफ़ करना चाहे मुआफ़ नहीं कर सकता न दैन उसे हिबा कर सकता है कि उसके ज़िम्मा दैन ही न रहा मुश्तरी ने बाइअ् को समन का हवाला किसी दूसरे पर कर दिया बाइअ् मबीअ् को रोक नहीं सकता। राहिन (गिरवी रखने वाला) ने मुरतहिन (जिसके पास चीज़ गिरवी रखी जाये) को दूसरे पर हवाला कर दिया मुरतहिन को रोकने का हक़दार न रहा यानी रहन वापस करना होगा। औरत ने महर मुअ़ज्जल का मुतालबा किया था शौहर ने हवाला कर दिया औरत अपने नफ़्स को नहीं रोक सकती। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.8:– अगर दैन हलाक होने की सूरत पैदा होगई तो मुहताल मुहील से मुतालबा करेगा और उससे दैन वसूल करेगा दैन हलाक होने की दो सूरतें हैं मोहताल'अलैहि ने हवाला ही से इन्कार कर दिया और गवाह न मुहील के पास हैं न मुहताल के पास मुहताल'अलैहि पर हलफ़ दिया गया उसने क़सम खाली कि मैंने हवाला नहीं क़बूल किया है मुहताल अलैहि मुफ़्लिसी की हालत में मर गया न उसके पास ऐन है न दैन जिस से मुतालबा अदा हो सके न उसने कोई कफ़ील छोड़ा है कि कफ़ील से ही रक़म वसूल की जाये। (हिदाया जि.2 स.99)

मसअ्ला.9:– मोहताल'अलैहि के मरने के बाद मुहील व मोहताल में इख़्तिलाफ़ हुआ मोहताल कहता

है उसने कुछ नहीं छोड़ा है और मुह़ील कहता है तर्का छोड़ मरा है मोह़ताल का क़ौल क़सम के साथ मोअ्तबर है यानी यह क़सम खायेगा कि मुझे मालूम नहीं है कि वह तर्का छोड़ मरा है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– मोह़ताल'अ़लैहि ने मुह़ील से यह मुतालबा किया कि तुम्हारे हुक्म से मैंने तुम पर जो दैन था अदा कर दिया लिहाज़ा वह रक़म मुझे देदो मुह़ील ने जवाब में यह कहा कि मैंने तुम पर ह़वाला इस लिये किया था कि मेरा दैन तुम्हारे ज़िम्मा था लिहाज़ा मेरे ज़िम्मा मुतालबा नहीं रहा इस सूरत में मोह़ताल'अ़लैहि का क़ौल मोअ्बर है क्योंकि मुह़ील ने ह़वाला का इक़रार कर लिया और ह़वाला के लिये यह ज़रूरी नहीं कि मुह़ील का मोह़ताल'अ़लैहि के ज़िम्मा बाक़ी हो(दुर्रेमुख़्तार 293)

मसअ्ला.11:– मुह़ील ने मोह़ताल से यह कहा कि मैंने तुम्हें फुलाँ पर ह़वाला इस लिये किया था कि उस चीज़ पर मेरे लिए क़ब्ज़ा करो यानी यह ह़वाला ब'मअ्ना वकालत है मोह़ताल जवाब में यह कहता है कि यह बात नहीं बल्कि तुम्हारे ज़िम्मा मेरा दैन था इस लिए तुमने ह़वाला किया था उस सूरत में मुह़ील का क़ौल मोअ्तबर है कि वही मुन्किर है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– ह़वाला की दो क़िस्में हैं **1.मुतलक़ा 2.मुक़य्यदा** मुतलक़ा का मतलब यह है कि उस में यह क़ैद न हो कि अमानत या दैन जो तुम पर है उससे उस दैन को अदा करना मुक़य्यदा में उसी क़िस्म की क़ैद होती है ह़वाला अगर मुतलक़ा हो और फ़र्ज़ करो मुह़ील (मक़रूज़) का दैन या अमानत मोह़ताल'अ़लैहि (मक़रूज़ क़र्ज़ की अदायगी जिसके ज़िम्मे डालदे) के पास है तो मोह़ताल (क़र्ज़ देने वाले) का ह़क़ उस मख़सूस माल के साथ मुतअ़ल्लिक़ नहीं बल्कि मोह़ताल अ़लैहि के ज़िम्मा के साथ मुतअ़ल्लिक़ होगा यानी मुह़ील अपना दैन या वदीअ़त मोह़ताल अ़लैहि से लेले तो ह़वाला बातिल न होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– मुह़ील पर दैन ग़ैर मीआ़दी है यानी फ़ौरन वाजिबुल'अदा है उसका ह़वाला कर दिया तो मोह़ताल'अ़लैहि पर फ़ौरन अदा करना वाजिब है और मुह़ील पर दैन मीआ़दी है मसलन एक साल की मीआ़द है उसका ह़वाला किया और मोह़ताल'अ़लैहि के लिए भी एक साल की मीआ़द ज़िक्र करदी गई तो मोह़ताल'अ़लैहि के लिए भी मीआ़द होगई और उस सूरत में अगर ह़वाला के अन्दर मीआ़द का ज़िक्र न हुआ जब भी ह़वाला मीआ़दी है जिस त़रह मीआ़दी दैन की किफ़ालत करने से कफ़ील के लिये भी मीआ़द होजाती है अगर्चे किफ़ालत में मीआ़द का ज़िक्र न हो(आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– मुह़ील पर मीआ़दी दैन था उसका ह़वाला कर दिया और मुह़ील मरगया तो मोह़ताल अ़लैहि पर अब भी मीआ़दी है मुह़ील के मरने से मीआ़द साक़ित न होगी और मोह़ताल अ़लैहि मरगया तो मीआ़द जाती रही अगर्चे मुह़ील ज़िन्दा हो हाँ अगर मोह़ताल अ़लैहि मुफ़्लिस मरा कुछ तर्का उसने नहीं छोड़ा तो मुह़ील की तरफ़ दैन रुजूअ़ करेगा और वह मीआ़द भी होगी जो पहले थी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– मुह़ील पर दैन ग़ैर मीआ़दी था मसलन क़र्ज़ उसका ह़वाला किया और मोह़ताल अ़लैहि ने कोई मीआ़द ह़वाला में ज़िक्र की तो यह मीआ़दी होगया अन्दरूने मीआ़द मुतालबा नहीं हो सकता मगर मोह़ताल अ़लैहि अगर नादार होकर मरा तो फिर मुह़ील की तरफ़ दैन रुजूअ़ करेगा और ग़ैर मीआ़दी होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– ज़ैद के हज़ार रुपये अ़म्र पर वाजिबुल'अदा हैं और अ़म्र के बकर पर हज़ार रुपये वाजिबुल'अदा हैं अ़म्र ने ज़ैद को बकर पर ह़वाला कर दिया कि तुम्हारे ज़िम्मा जो मेरे रुपये वाजिबुल'अदा हैं वह ज़ैद को अदा करदो यह ह़वाला सह़ीह़ है फिर अगर ज़ैद ने बकर को मसलन एक साल की मीआ़द देदी तो अ़म्र व बकर से अपना रुपया वसूल नहीं कर सकता और अगर मीआ़द देने के बाद ज़ैद ने बकर को ह़वाला की रक़म से बरी कर दिया तो अ़म्र अपना दैन बकर से वसूल कर सकता है। (ख़ानिया जि.2 स.189)

मसअ्ला.17:– ज़ैद के अ़म्र पर हज़ार रुपये वाजिबुल'अदा हैं और ज़ैद ने अपने दाइन को अ़म्र पर ह़वाला कर दिया कि एक साल में अ़म्र उस को रुपये देदे मगर ज़ैद ने ख़ुद साल के अन्दर दैन

अदा कर दिया तो अम्र से अपने रुपये अभी वसूल कर सकता है। (आलमगीरी जि.3 स.298)

मसअ्ला.18:– ना'बालिग़ का किसी के ज़िम्मा दैन था उसने हवाला कर दिया और उसमें कोई मीआ़द मुक़र्रर हुई उस ना'बालिग़ के बाप या वसी ने हवाला क़बूल कर लिया यह ना'जाइज़ है यानी जब कि ना'बालिग़ को वह दैन मीरास् में मिला हो और अगर बाप या वसी ने उस ना'बालिग़ के लिए कोई अ़क़्द किया हो उसका दैन हो तो उसमें मीआ़द मुक़र्रर करना जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.19:– हवाला का रुपया जब तक मोह़ताल'अ़लैहि अदा न करले मुह़ील से वसूल नहीं कर सकता और अगर मुह़ताल लहू ने मोह़ताल'अ़लैहि को क़ैद करा दिया तो यह मुह़ील को क़ैद करा सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.20:– मोह़ताल'अ़लैहि ने मोह़ताल'लहू (क़र्ज़ देने वाले) को अदा कर दिया या मोह़ताल'लहू ने मोह़ताल'अ़लैहि को हिबा करदिया या स़दक़ा कर दिया या मोह़ताल'लहू मरगया और मोह़ताल अ़लैह उसका वारिस है तो मुह़ील से वसूल कर सकता है और अगर मोह़ताल'लहू ने मोह़ताल अ़लैहि को दैन से बरी (क़र्ज़ मुआफ़) कर दिया बरी हो गया और मुह़ील से वसूल नहीं कर सकता और अगर मोह़ताल'लहू ने यह कहदिया कि मैंने दैन तुम्हारे लिए छोड़दिया तो मुह़ील से वसूल कर सकता है(आलमगीरी)

मसअ्ला.21:– मदयून ने ऐसे शख़्स पर हवाला किया जिस पर मदयून का दैन नहीं है और किसी अजनबी शख़्स ने मोह़ताल अ़लैहि की त़रफ़ से दैन अदा कर दिया तो मोह़ताल अ़लैहि मुह़ील से वसूल कर सकता है और अगर मुह़ील का मोह़ताल'अ़लैहि पर दैन था और हवाला करदिया और अजनबी ने मुह़ील की त़रफ़ से दैन अदा कर दिया तो मुह़ील मोह़ताल'अ़लैहि से अपना दैन वसूल कर सकता है और अगर मुह़ील यह कहता है कि उसने मेरी त़रफ़ से दैन अदा किया है और मोह़ताल'अ़लैहि कहता है मेरी त़रफ़ से अदा किया है और फ़ुज़ूली ने अदा के वक़्त कुछ ज़ाहिर नहीं किया था तो उस फ़ुज़ूली से दरयाफ़्त किया जाये कि किस की त़रफ़ से अदा किया था जो वह कहे उसका एअ़्तिबार किया जाये और अगर वह फ़ुज़ूली मरगया या उसका पता ही नहीं है कि उससे दरयाफ़्त हो सके तो मोह़ताल'अ़लैहि की त़रफ़ से दैन अदा करना क़रार दिया जाये।(ख़ानिया)

मसअ्ला.22:– मोह़ताल'अ़लैहि ने अदा करदिया तो जिस माल का हवाला हुआ वह मुह़ील से वसूल करेगा वह नहीं जो उसने अदा किया मस्लन रुपया का हवाला हुआ और उसने अशर्फ़ियाँ अदा कीं या उसका अ़क्स हुआ या रुपये की जगह कोई सामान मोह़ताल'लहू को दिया तो वह चीज़ देनी होगी जिस का हवाला हुआ और मोह़ताल अ़लैहि व मोह़ताल लहू में मुस़ालह़त होगई अगर उसी क़िस्म की चीज़ पर मुस़ालह़त हुई जो वाजिब थी यानी जितनी देनी लाज़िम थी उससे कम पर मुस़ालह़त हुई मस्लन सौ रुपये की जगह अस्सी पर सुलह़ हुई यानी बीस मुआ़फ़ कर दिये तो जितने दिये मुह़ील से उतने ही वसूल कर सकता है और अगर ख़िलाफ़े जिन्स पर मुस़ालह़त हुई मस्लन सौ रुपये की जगह दो अशर्फ़ियों पर सुलह़ हुई तो मोह़ताल अ़लैहि मुह़ील से सौ रुपये वसूल कर सकता है। (आलमगीरी जि.3 स.299)

मसअ्ला.23:– हवालाए मुक़य्यदा की दो सूरतें हैं एक यह कि मुह़ील का दैन मोह़ताल अ़लैहि के ज़िम्मा है उस दैन के साथ हवाला को मख़्सूस किया दूसरी यह कि मोह़ताल अ़लैहि के पास मुह़ील की ऐन शय है उससे मुक़य्यद किया मस्लन मुह़ील ने उसके पास रुपये वग़ैरा कोई चीज़ अमानत रखी है या उसने मुह़ील की कोई चीज़ ग़स़ब करली है उसने हवाला में यह ज़िक्र कर दिया कि अमानत या ग़स़ब के रुपये से मोह़ताल अ़लैहि दैन अदा करे। हवाला मुक़य्यद का हुक्म यह है कि मुह़ील अपना दैन या अमानत या मग़सूब शय हवाला के बाद मोह़ताल अ़लैहि से नहीं लेसकता और अगर उसने मुह़ील को देदिया तो ज़ामिन है उसको अपने पास से देना पड़ेगा और उस सूरत में कि मुह़ील ने अपना माल उससे वसूल कर लिया और मोह़ताल'लहू ने भी बर'बिनाए हवाला उससे वसूल किया मोह़ताल अ़लैहि मुह़ील से यह रक़म ले सकता है। (आलमगीरी जि.3 स.299)

मसअ्ला.24:– ह़वालाए मुक़य्यद बा'अमानत था और वह अमानत से उसके पास से ज़ाइअ् होगई ह़वाला भी बाति़ल होगया मोह़ताल अ़लैहि बरी होगया और दैन मुह़ील के ज़िम्मा लौट आया और अगर ह़वाला में मग़सूब की क़ैद थी यानी मोह़ताल अ़लैहि ने मुह़ील की चीज़ ग़सब की है उससे दैन वसूल करने को ह़वाला किया और मग़सूब शय ग़ासिब के पास से हलाक होगई ह़वाला ब'दस्तूर बाक़ी है अब भी मोह़ताल अ़लैहि को दैन अदा करना लाज़िम है। (दुर्रेमुख़्तार जि.8 स.17)

मसअ्ला.25:– ह़वालाए मुक़य्यद बिदैन या मुक़य्यद बिऐ़न था और मुह़ील मरगया और उसपर उस दैन के एलावा और दुयून (क़र्ज़े) भी हैं मगर सिवा उस दैन के जो मोह़ताल अ़लैहि के ज़िम्मा है या उस ऐ़न के जो मोह़ताल'अ़लैहि के पास है कोई चीज़ नहीं छोड़ी तो वह दैन या ऐ़न तन्हा मोह़ताल लहू के लिए मख़्सूस न होगा बल्कि दीगर क़र्ज़ ख़्वाह भी उसमें ह़क़दार हैं सब पर बक़द्र हिस्सा–ए–रसद तक़सीम होगा। (आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार स.293)

मसअ्ला.26:– ह़वालाए मुक़य्यद ब'वदीअ़त था मुह़ील बीमार होगया और मोह़ताल अ़लैहि ने वदीअ़त मोह़ताल लहू को देदी उसके बाद मुह़ील का इन्तिक़ाल होगया और उसके ज़िम्मा दीगर दुयून भी हैं अमीन से दूसरे क़र्ज़ ख़्वाह तावान नहीं ले सकते मगर वदीअ़त तन्हा मोह़ताल लहू को नहीं मिलेगी बल्कि दूसरे क़र्ज़ ख़्वाह भी उसमें शरीक होंगे और अगर मोह़ताल अ़लैहि के पास वदीअ़त नहीं है बल्कि मुह़ील का उसके ज़िम्मा दैन है और ह़वाला उस दैन के साथ मुक़य्यद किया था और मोह़ताल अ़लैहि के अदा करने से पहले मुह़ील बीमार होगया अब मोह़ताल अ़लैहि ने मोह़ताल लहू को अदा कर दिया और मुह़ील मर गया और उसके ज़िम्मा दीगर मदयून भी हैं और उस दैन के एलावा जो मोह़ताल अ़लैहि के ज़िम्मा था मुह़ील ने कोई तर्का नहीं छौड़ा तो मोह़ताल लहू जो वसूल कर चुका वह तन्हा उसी का है दीगर ग़ुरबा उस में शरीक नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.27:– ह़वाला मुक़य्यद ब'अमानत था और मोह़ताल अ़लैहि ने अमानत से दैन नहीं अदा किया बल्कि अपने रुपये दैन में दिये और अमानत के रुपये अपने पास रख लिये तो यह दैन अदा करना तबर्रोअ् नहीं क़रार पायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.28:– ह़वाला मुक़य्यद ब'समन था यानी मुह़ील ने मोह़ताल अ़लैहि के हाथ कोई चीज़ बैअ् की थी जिसका स्मन बाक़ी था उस मुश्तरी पर अपने दैन का ह़वाला कर दिया कि मोह़ताल लहू स्मन वसूल करे मगर मुश्तरी ने ख़्यारे रूयत, ख़यारे शर्त, की वजह से बैअ् फ़स्ख़ करदी या ख़्यारे ऐ़ब की वजह से क़ब्ले क़ब्ज़ा फ़स्ख़ की या बाद क़ब्ज़ा क़ज़ाये क़ाज़ी से फ़स्ख़ हुई या मबीअ् क़ब्ले क़ब्ज़ा हलाक होगई उन सब सूरतों में मुश्तरी के ज़िम्मा स्मन बाक़ी न रहा जब भी ह़वाला ब'दस्तूर बाक़ी है और अगर मबीअ् में कोई दूसरा ह़क़दार निकला या ज़ाहिर हुआ कि मबीअ् ग़ुलाम नहीं है बल्कि हुर है या दैन के साथ ह़वाला को मुक़य्यद किया था और उसका कोई मुस्तह़क़ ज़ाहिर हुआ तो इस सूरतों में ह़वाला बाति़ल हो जायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.29:– एक शख़्स ने कोई चीज़ ख़रीदी और बाइअ् को स्मन वसूल करने के लिये किसी शख़्स पर ह़वाला करदिया फिर मुश्तरी ने मबीअ् में कोई ऐ़ब पाया और क़ाज़ी के हुक्म से बाइअ् को वापस करदी तो मुश्तरी बाइअ् से स्मन वापस नहीं ले सकता जब कि बाइअ् यह कहता हो कि मैंने समन वसूल नहीं किया है हाँ बाइअ् उस मोह़ताल'अ़लैहि पर ह़वाला कर देगा। (ख़ानिया)

मसअ्ला.30:– एक शख़्स पर दैन है दूसरा उस का कफ़ील है कफ़ील ने ता़लिब को एक तीसरे शख़्स पर ह़वाला कर दिया उसने क़बूल करलिया असील व कफ़ील दोनों बरी होगये और मोह़ताल अ़लैहि मुफ़्लिस मरा तो असील व कफ़ील दोनों की त़रफ़ मुआ़मला लौटेगा। (ख़ानिया, आलमगीरी)

मसअ्ला.31:– एक शख़्स पर ह़वाला किया कि वह अपने मकान के समन से दैन अदा करेगा मोह़ताल अ़लैहि इसपर मजबूर नहीं किया जायेगा कि घर बेचकर दैन अदा करे अलबत्ता जब मकान बैअ् करेगा तो दैन अदा करने पर मजबूर किया जायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.32:– एक शख़्स़ के हाथ कोई चीज़ बैअ़ की और यह शर्त़ करदी कि बाइअ़ अपने क़र्ज़ख्वाह को मुश्तरी पर ह़वाला कर देगा कि स़मन से दैन अदा करे यह बैअ़ फ़ासिद है और ह़वाला भी बात़िल और अगर यह शर्त़ की है कि मुश्तरी स़मन का किसी और पर ह़वाला कर देगा यह बैअ़ स़ह़ीह़ है और ह़वाला भी स़ह़ीह़। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुह़तार स.294)

मसअ्ला.33:– ह़वाला फ़ासिदा में अगर मोह़ताल अ़लैहि ने दैन अदा करदिया तो उसे इख़्तियार है मोह़ताल लहू से वापस ले या मुह़ील से वस़ूल करे मस़लन यह ह़वाला कि मुह़ील के मकान को बैअ़ करके स़मन से दैन अदा करेगा और मुह़ील ने उसकी इजाज़त न दी हो यह ह़वाला फ़ासिद है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.34:– एक शख़्स़ ने दूसरे की किफ़ालत की और यह शर्त़ होगई कि अस़ील बरी है यह ह़क़ीक़त में ह़वाला है और ह़वाला में यह शर्त़ क़रार पाई कि अस़ील से भी मुत़ालबा करेगा तो यह किफ़ालत है दाइन ने मदयून पर किसी को ह़वाला करदिया और मोह़ताल लहू का दाइन पर दैन नहीं है यह ह़क़ीक़त में वकालत है ह़वाला नहीं। एक शख़्स़ ने दूसरे को किसी पर ह़वाला कर दिया कि उससे इतने मन ग़ल्ला लेलेना और मोह़ताल अ़लैहि ने क़बूल कर लिया मगर ह़क़ीक़त में न मुह़ील का मोह़ताल अ़लैहि पर कुछ है न मोह़ताल लहू का मुह़ील पर तो मोह़ताल अ़लैहि पर कुछ देना वाजिब नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला.35:– आढ़त में ग़ल्ला वग़ैरा हर क़िस्म की चीज़ बेचने वाले लाकर जमअ़ कर देते हैं और ख़रीदने वाले आढ़त वाले से ख़रीदते हैं अकस़र ऐसा भी होता है कि ख़रीदार से अभी दाम वस़ूल नहीं हुए और बेचने वाले अपने वत़न को वापस जाना चाहते हैं आढ़त वाले अपने पास से दाम दे देते हैं कि ख़रीदार से वस़ूल होगा तो रख लेंगे यहाँ अगर्चे ब'ज़ाहिर ह़वाला नहीं मगर उसको ह़वाला ही के हुक्म में समझना चाहिए य़ानी बाइअ़ ने आढ़ती से क़र्ज़ लिया और मुश्तरी पर ह़वाला कर दिया कि उससे वस़ूल करले लिहाज़ा अगर आढ़ती को मुश्तरी से दैन वस़ूल न होसका कि वह मुफ़्लिस मरा तो आढ़ती बाइअ़ से उस रुपये को वस़ूल कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.36:– मदयून ने दाइन को किसी पर ह़वाला करदिया इस शर्त़ पर कि मोह़ताल लहू को ख़्यार ह़ासिल है यह ह़वाला जाइज़ है और मोह़ताल लहू को इख़्तियार है कि ह़वाला को नाफ़िज़ करे मोह़ताल अ़लैहि से वस़ूल करे या खुद मुह़ील से वस़ूल करे यूँहीं अगर यूँ ह़वाला किया कि मोह़ताल लहू जब चाहे मुह़ील पर रुजूअ़ करे यह ह़वाला भी जाइज़ है और उसे इख़्तियार है जिस से चाहे वस़ूल करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.37:– अ़क़्दे ह़वाला में मीआ़द नहीं होसकती हाँ जिस दैन का ह़वाला हो उसके लिए मीआ़द हो सकती है य़ानी इन्तिक़ाले दैन तो अभी होगया मगर मुत़ालबा मीआ़द पर होगा।(दुर्रेमुख़्तार स.295)

मसअ्ला.38:– हुन्डी भी ह़वाला ही की एक क़िस्म है उसकी स़ूरत यह है कि ताजिर को रुपया बत़ौर क़र्ज़ देते हैं कि वह उसको दूसरे शहर में अदा कर देगा या उस के किसी दोस्त या अ़ज़ीज़ को दूसरे शहर में देदेगा मस़लन उस ताजिर की दूसरे शहर में दुकान है वहाँ लिख देगा उसको या उसके अ़ज़ीज़ को वहाँ क़र्ज़ का रुपया वस़ूल होजायेगा क़र्ज़ के त़ौर पर देने से मक़्स़ूद यह है कि अगर अमानत कहकर देता है तो वही रुपया बिऐनेही उसको पहुँचाया जायेगा और हो सकता है कि रास्ता में ज़ाइअ़ होजाये और देने वाले का नुक़्स़ान हो क्योंकि अमानत में तावान नहीं लिया जा सकता उस नफ़अ़ की ख़ातिर क़र्ज़ देता है लिहाज़ा यह मकरुह तह़रीमी है कि क़र्ज़ से एक नफ़अ़ ह़ासिल करना है और अगर क़र्ज़ में दूसरी जगह देने की शर्त़ न हो मस़लन उसका क़र्ज़ उसके ज़िम्मा था उससे कहा फुलाँ जगह के लिए ह़वाला लिखदो उसने लिख दिया यह ना'जाइज़ नहीं। हुन्डी की यह स़ूरत भी है कि दुकानदार दूसरे शहर में माल लेने जाता है अगर साथ में रुपया ले जाता है तो ज़ाइअ़ होने का अन्देशा है या उस वक़्त रुपया मौजूद नहीं है वहाँ माल ख़रीदकर हुन्डी लिख देता है जब यहाँ हुन्डी पहुँचती है रुपया अदा कर दिया जाता है अकस़र यह हुन्डी मीआ़दी

होती है और कभी गैर मीआदी भी होती है मगर उसमें सूद की एक रकम शामिल होती है उसके हराम होने में क्या शुबह है। (दुर्रे मुख़्तार स.295)

क़ज़ा का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है:

﴿إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ﴾

"हमने तौरात नाज़िल की जिसमें हिदायत व नूर है उसके मुवाफ़िक अम्बिया हुक्म करते रहे"।

फिर फ़रमाया:

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ "जो लोग खुदा के उतारे हुये पर हुक्म न करें वह काफ़िर हैं"

फिर फ़रमाया:

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ "जो लोग खुदा के उतारे हुए पर हुक्म न करें वह ज़ालिम हैं"

फिर फ़रमाया:

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ "जो लोग खुदा के उतारे हुये के मुवाफ़िक हुक्म न करें वह फ़ासिक़ हैं"

फिर फ़रमाया:

﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

"तुम हुक्म करो उनके माबैन उसके मुवाफ़िक जो खुदा ने नाज़िल किया और उनकी ख़्वाहिशों की पैरवी न करो और उनसे बचते रहो कि कहीं तुम्हें फ़ितना में न डालदें बाज़ उन चीज़ों से जो खुदा ने तुम्हारी तरफ़ उतारीं और अगर वह एअ्राज़ करें तो जानलो कि खुदा उनके बाज़ गुनाहों की सज़ा उनको पहुँचाना चाहता है और बेशक बहुत से लोग फ़ासिक हैं क्या वह जाहिलियत का हुक्म चाहते हैं और अल्लाह से बढ़कर यकीन वालों के लिए कौन हुक्म देने वाला है"

और फ़रमाया:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"तुम्हारे रब की क़सम वह मोमिन न होंगे जब तक तुम को हुक्म न बतायें उस चीज़ में जिसमें उनके माबैन इख़्तिलाफ़ है फिर जो कुछ तुमने फ़ैसला कर दिया उससे अपने दिल में तंगी न पायें और उसे पूरे तौर पर तस्लीम न करें"।

और फ़रमाता है

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

"हमने तुम्हारी तरफ़ हक़ के साथ किताब उतारी ताकि लोगों के दरमियान उसके साथ फ़ैसला करो जो खुदा ने तुम्हें दिखाया और ख़ियानत करने वालों के लिए झगड़ा न करो"।

हदीस (1) इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने अबू ज़र रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया कि "छ: दिन बाद तुम से जो कुछ कहा जाये उसे अपने ज़हिन में रखना सातवें दिन यह इरशाद फ़रमाया कि मैं तुमको वसियत करता हूँ कि बातिन व ज़ाहिर में अल्लाह से डरते रहना और जब तुमसे कोई बुरा काम होजाये तो नेकी करना और किसी से कोई चीज़ तलब न करना अगर्चे तुम्हारा कोड़ा गिर जाये यानी तुम सवारी पर हो और कोड़ा गिरजाये तो यह भी किसी से न कहना कि उठादे किसी की अमानत अपने पास न रखना और दो शख़्सों के माबैन फ़ैसला न करना"।

हदीस (2) इमाम अहमद व इब्ने माजा और बैहकी शोअ़बुल ईमान में अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स लोगों के माबैन हुक्म करता है वह क़ियामत के दिन उस तरह आयेगा कि फ़िरिश्ता उस की गुद्दी पकड़े होगा फिर वह फ़िरिश्ता अपना सर आसमान की तरफ़ उठायेगा (इस इन्तिज़ार में कि उसके लिये क्या हुक्म होता है) अगर यह हुक्म होगा कि डालदे तो ऐसे गड्ढे में डालेगा कि चालीस बरस तक गिरता ही रहेगा यानी चालीस बरस में तह तक पहुँचेगा"।

हदीस (3) इमाम अहमद उम्मुलमोमिनीन सिद्दीका रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रावी कि रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "क़ाज़ी आदिल क़ियामत के दिन तमन्ना करेगा कि दो शख़्सों के दरम्यान एक फल के मुतअल्लिक़ भी फ़ैसला न किये होता"।

हदीस (4) तिर्मिज़ी ने रिवायत की कि उसमान ग़नी रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से फ़रमाया कि लोगों के दरम्यान फ़ैसला किया करो (ओहदा–ए–क़ज़ा को क़बूल करो) उन्होंने अर्ज़ की अमीरूल मोमिनीन आप मुझे मुआफ़ी दें फ़रमाया कि उसको ना'पसन्द क्यों रखते हो तुम्हारे वालिद फ़ैसला किया करते थे अर्ज़ की इस लिए कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है कि फ़रमाते थे "जो क़ाज़ी हो और अद्ल के साथ फ़ैसला करे उसके लिए लाइक़ यह है कि बराबर वापस हो यानी जिस हालत में था वह वैसा ही रह जाये यही ग़नीमत है"।

हदीस (5) इमाम अहमद व अबूदाऊद तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो लोगों के माबैन क़ाज़ी बनाया गया वह बिग़ैर छुरी के ज़िबह कर दिया गया"।

हदीस (6) अबूदाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो क़ज़ा का तालिब हो और उसकी दरख़्वास्त करे वह अपने नफ़्स की तरफ़ सिपुर्द कर दिया जायेगा और जिसको मजबूर करके क़ाज़ी बनाया जाये अल्लाह तआला उसके पास फ़िरिश्ता भेजेगा जो ठीक चलायेगा।

हदीस (7) अबूदाऊद ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिसने क़ज़ा तलब की और उसे मिल गई फिर उसका अद्ल उसके जोर पर ग़ालिब रहा यानी अद्ल ने ज़ुल्म करने से रोका उसके लिए जन्नत है और जिसका जोर अद्ल पर ग़ालिब आया उसके लिए जहन्नम है"।

हदीस (8) सहीह बुख़ारी में अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं मैं और मेरी क़ौम के दो शख़्स हुज़ूर के पास हाज़िर हुए एक ने कहा या रसूलल्लाह मुझे हाकिम कर दीजिए और दूसरे ने भी ऐसा ही कहा इरशाद फ़रमाया "हम उसको हाकिम नहीं बनाते जो उसका सुवाल करे और न उसको जो उसकी हिर्स करे"।

हदीस (9) सुनन अबूदाऊद व तिर्मिज़ी में उमर इब्ने मर्रा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्ललललाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि "अल्लाह तआला उमूरे मुस्लिमीन में कोई काम किसी को सिपुर्द फ़रमाये (यानी उसे हाकिम बनाये) वह लोगों के हवाइज व ज़रूरत व एहतियाज में पर्दे के अन्दर रहे यानी अहले हाजत की उस तक रसाई न होसके अपने पास अरबाबे हाजत को आने न दे तो अल्लाह तआला उसकी हाजत व ज़रूरत व एहतियाज में हिजाब फ़रमायेगा यानी उसको अपनी रहमत से दूर फ़रमादेगा और एक रिवायत में है कि अल्लाह तआला उसकी हाजत के वक़्त में आसमान के दरवाज़े बन्द फ़रमादेगा" उसी की मिस्ल अबूदाऊद व इब्ने सअद व बग़वी व तिबरानी व बैहक़ी व इब्ने असाकर अबी मरयम व अहमद व तिबरानी मुआज़ रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी"।

हदीस (10) बैहक़ी हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी जब हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु अपने उम्माल (हुक्काम) को भेजते उनपर यह शर्त करते कि तुर्की घोड़े पर सवार न होना और बारीक आटा यानी मैदा न खाना और बारीक कपड़े न पहनना और लोगों के हवाइज के वक़्त अपने दरवाज़े न बन्द करना अगर तुमने उनमें से किसी अम्र को किया तो सज़ा के मुस्तहक़ होगे।

हदीस (11) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व दारमी ने मुआज़ इब्ने जबल रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब उनको यमन का हाकिम बनाकर भेजना चाहा फ़रमाया कि जब तुम्हारे सामने कोई मुआमला पेश आयेगा तो किस तरह

फ़ैसला करोगे अ़र्ज़ की किताबुल्लाह से फ़ैसला करूँगा फ़रमाया अगर किताबुल्लाह में न पाओ तो क्या करोगे अ़र्ज़ की रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ फ़ैसला करूँगा फ़रमाया अगर सुन्नत रसूलुल्लाह में भी न पाओ तो क्या करोगे अ़र्ज़ की अपनी राय से इज्तिहाद करूँगा और इज्तिहाद करने में कमी न करूँगा हुज़ूर अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने उनके सीना पर हाथ मारा और यह कहा कि ह़म्द है अल्लाह के लिए जिसने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के फ़रस्तादा को उस चीज़ की तौफ़ीक़ दी जिससे रसूलुल्लाह राज़ी है।

ह़दीस़ (12) अबूदाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ह़ज़रत अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कहते हैं जब मुझको रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने यमन की त़रफ़ क़ाज़ी बनाकर भेजना चाहा मैंने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह हुज़ूर मुझे भेजते हैं और मैं नो'उ़म्र शख़्स़ हूँ और मुझे फ़ैसला करना आता भी नहीं यानी मैंने कभी इस काम को नहीं किया है इरशाद फ़रमाया अल्लाह तआ़ला तुम्हारे क़ल्ब को रहनुमाई करेगा और तुम्हारी ज़बान को ह़क़ पर साबित रखेगा। जब तुम्हारे पास दो शख़्स़ मुआ़मला पेश करें तो सिर्फ़ पहले की बात सुनकर फ़ैसला न करना जब तक दूसरे की बात सुन न लो कि उस सूरत में यह होगा कि फ़ैसला की नोईयत तुम्हारे लिये ज़ाहिर होजायेगी फ़रमाते हैं कि उसके बा़द कभी मुझे फ़ैसला करने में शक व तरद्दुद न हुआ।

ह़दीस़ (13) स़ह़ीह़ बुख़ारी शरीफ़ में है ह़सन बस़री रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु फ़रमाते हैं अल्लाह तआ़ला ने हुक्काम के ज़िम्मा यह बात रखी है कि ख़्वाहिशे नफ़्सानी की पैरवी न करें और लोगों से ख़ौफ़ न करें और अल्लाह की आयात को थोड़े दाम के बदले में न ख़रीदें उस के बाद यह आयत पढ़ी।

يَادَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ م بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

"ऐ दाऊद हमने तुमको ज़मीन में ख़लीफ़ा किया लोगों के दरम्यान ह़क़ के साथ फ़ैसला करो और ख़्वाहिश की पैरवी न करो कि वह तुम को अल्लाह के रास्ते से हटादेगी और जो अल्लाह के रास्ता से अलग होगये उनके लिये सख़्त अ़ज़ाब है इस वजह से कि हिसाब के दिन को भूल गये"।

उ़मर इब्ने अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु फ़रमाते हैं पाँच बातें क़ाज़ी में जमअ़ होनी चाहिए उनमें की एक न हो तो उस में ऐ़ब होगा (1)समझदार हो (2)बुर्दबार हो (3)सख़्त हो (4)आलिम हो (5)इल्म की बातों का पूछने वाला हो।

ह़दीस़ (14) बैहक़ी ने रिवायत की कि ह़ज़रत उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने फ़रमाया कि "फ़रीक़ैने मुक़द्दमा को वापस करदो ताकि वह आपस में सुलह़ करलें क्योंकि मुआ़मला का फ़ैसला कर देना लोगों के दरम्यान अ़दावत पैदा करता है"।

ह़दीस़ (15) इब्ने अ़साकर व बैहक़ी रिवायत करते हैं कि शोअ़बी कहते हैं ह़ज़रत उ़मर और अबी इब्ने कअ़ब रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा के माबैन एक मुआ़मला में ख़ुसूमत थी ह़ज़रत उ़मर ने फ़रमाया मेरे और अपने दरमियान किसी को ह़कम करलो दोनों सहाबियों ने ज़ैद इब्ने स़ाबित रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु को ह़कम बनाया और दोनों उनके पास आये ह़ज़रत उ़मर ने कहा हम इस लिए तुम्हारे पास आये हैं कि हमारे माबैन फ़ैसला करो जब दोनों उनके पास फ़ैसला के लिये पहुँचे तो ह़ज़रत ज़ैद स़दरे मज्लिस से हटगये और अ़र्ज़ की अमीरुलमोमिनीन यहाँ तशरीफ़ लाईये ह़ज़रत उ़मर ने फ़रमाया यह तुम्हारा पहला ज़ुल्म है जो फ़ैसला में तुमने किया व लेकिन मैं अपने फ़रीक़ के साथ बैठूँगा दोनों स़ाहिब उनके सामने बैठ गये। अबी इब्ने कअ़ब ने दअ़वा किया और ह़ज़रत उ़मर ने उन के दअ़वे से इन्कार किया ह़ज़रत ज़ैद ने अबी इब्ने कअ़ब से कहा कि अमीरुलमोमिनीन को ह़लफ़ से मुआ़फ़ी देदो ह़ज़रत उ़मर ने क़सम खाली उसके बा़द क़सम खाकर कहा कि ज़ैद को कभी फ़ैसला सिपुर्द न किया जाये जब तक उनके नज़्दीक उ़मर और दूसरा मुसलमान बराबर न हो यानी जो शख़्स़ मुद्दई व मुद्दआ़ अ़लैहि में इस क़िस्म की तफ़रीक़ करे वह फ़ैसला का अहल नहीं।

ह़दीस् (16) स़ह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में अबू बक्र रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना है कि ह़ाकिम ग़ुस्स़ा की ह़ालत में दो शख़्स़ों के माबैन फ़ैस़ला न करे।

ह़दीस् (17) स़ह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर व अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी हुज़ूर अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ह़ाकिम ने फ़ैस़ला करने में कोशिश की और ठीक फ़ैस़ला किया उसके लिए दो स़वाब और अगर कोशिश करके (ग़ौर व ख़ौज़ करके) फ़ैस़ला किया और ग़ल्ती होगई उसको एक स़वाब।

ह़दीस् (18) अबूदाऊद व इब्ने माजा बरीदा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "क़ाज़ी तीन हैं एक जन्नत में और दो जहन्नम में जो क़ाज़ी जन्नत में जायेगा वह है जिसने ह़क़ को पहचाना और ह़क़ के साथ फ़ैस़ला किया और जिसने ह़क़ को पहचाना मगर फ़ैस़ला ह़क़ के ख़िलाफ़ किया वह जहन्नम में है और जिसने बिग़ैर जाने बूझे फ़ैस़ला कर दिया वह जहन्नम में है" उसी की मिस़्ल इब्ने अ़दी व ह़ाकिम ने भी बरीदा से और त़िबरानी इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी।

ह़दीस् (19) तिर्मिज़ी व इब्ने माजा अ़ब्दुल्लाह इब्ने अबी औफ़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "क़ाज़ी के साथ अल्लाह तआ़ला है जब तक वह ज़ुल्म न करे और जब वह ज़ुल्म करता है अल्लाह तआ़ला उससे जुदा होजाता है और शैत़ान उसके साथ हो जाता है"।

ह़दीस् (20) बैहक़ी इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि फ़रमाया हुज़ूर ने "क़ाज़ी जब अपने इजलास में बैठता है दो फ़िरिश्ते उतरते हैं जो उसे ठीक रास्ते पर ले चलना चाहते हैं और तौफ़ीक़ देते हैं और रहनुमाई करते हैं जब तक वह ज़ुल्म न करे और जब ज़ुल्म करता है तो चले जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं"।

ह़दीस् (21) अबुया़ला हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाते हैं स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम "हुक्काम आ़दिल व ज़ालिम सब को क़ियामत के दिन पुल स़िरात़ पर रोका जायेगा फिर अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमायेगा तुमसे मेरा मुत़ालबा है जिस ह़ाकिम ने फ़ैस़ला में ज़ुल्म किया होगा और रिश्वत ली होगी सिर्फ़ एक फ़रीक़ की बात तवज्जोह से सुनी होगी वह जहन्नम की इतनी गहराई में डाला जायेगा जिसकी मुसाफ़त सत्तर साल है और जिसने ह़द (मुक़र्रर) से ज़्यादा मारा है उससे अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा कि जितना मैंने हुक्म दिया था उससे ज़्यादा तूने क्यों मारा वह कहेगा ऐ परवरदिगार मैंने तेरे लिए ग़ज़ब किया अल्लाह फ़रमायेगा तेरा ग़ुस्स़ा मेरे ग़ज़ब से भी ज़्यादा होगया और वह शख़्स़ लाया जायेगा जिसने सज़ा में कमी की है अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा ऐ मेरे बन्दे तूने कमी क्यों की कहेगा मैंने उस पर रह़म किया फ़रमायेगा क्या तेरी रह़मत मेरी रह़मत से भी ज़्यादा होगई।

ह़दीस् (22) अबूदाऊद व बुरीदा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिसको हम किसी काम पर मुक़र्रर करें और उसको रोज़ी दें अब उस के बा़द वह जो कुछ लेगा ख़ियानत है"।

ह़दीस् (23) तिर्मिज़ी ने मआ़ज़ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने मुझे यमन की त़रफ़ ह़ाकिम करके भेजा जब मैं चला तो मेरे पीछे आदमी भेजकर वापस बुलाया और फ़रमाया तुम्हें मा़लूम है क्यों मैंने आदमी भेजकर बुलाया इस लिए कि कोई चीज़ बिग़ैर मेरी इजाज़त न लेना कि वह ख़ियानत होगी और जो ख़ियानत करेगा उस चीज़ को क़ियामत के दिन लेकर आना होगा उसे कहने के लिये बुलाया था अब अपने काम पर जाओ।

ह़दीस् (24) मुस्लिम व अबूदाऊद व अ़दी उ़मैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ऐ लोगो तुम में जो कोई हमारे किसी काम पर मुक़र्रर हुआ वह एक सुई या उससे भी कम कोई चीज हमसे छुपायेगा वह खाइन है क़ियामत के दिन उसे लेकर आयेगा अन्सार में से एक शख़्स खड़ा हुआ और यह कहा या रसूलल्लाह अपना यह काम मुझसे वापस लीजिये फ़रमाया क्या वजह है अर्ज की मैंने हुज़ूर को ऐसा ऐसा फ़रमाते सुना फ़रमाया मैं यह कहता हूँ जिसको हम आमिल बनायें वह थोड़ा या ज़्यादा जो कुछ हो हमारे पास लाये फिर जो कुछ हम दें उसे ले और जिससे मनअ् किया जाये बाज़ रहे।

हदीस (25) अबूदाऊद व इब्ने माजा अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से और तिर्मिज़ी उन से और अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से और इमाम अहमद व बैहक़ी सौबान रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले पर लअ्नत फ़रमाई और एक रिवायत में उसपर भी लअ्नत फ़रमाई जो रिश्वत का दलाल है।

हदीस (26) सहीह बुख़ारी वग़ैरा में अबू हमीद साअिदी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बनी असद में से एक शख़्स को जिसको इब्नुल्लुतबिय्या कहा जाता था आमिल बनाकर भेजा जब वह वापस आये यह कहा कि यह माल तुम्हारे लिये है और यह मेरे लिये हदिया हुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिम्बर पर तशरीफ़ लेगये और हम्दे इलाही और सना के बाद यह फ़रमाया क्या हाल है उस आमिल का जिसको हम भेजते हैं और वह आकर यह कहता है कि यह आप के लिये है और यह मेरे लिये है वह अपने बाप या माँ के घर में क्यों नहीं बैठा रहा देखता कि उसे हदिया किया जाता है या नहीं क़सम है उसकी जिसके हाथ में मेरा नफ़्स है ऐसा शख़्स क़ियामत के दिन उस चीज़ को अपनी गर्दन पर लादकर लायेगा अगर ऊँट है तो वह चिल्लायेगा और गाय है तो वह बाँन बाँन करेगी और बकरी है तो वह में में करेगी उसके बाद हुज़ूर ने अपने हाथों को इतना बलन्द फ़रमाया कि बग़ल मुबारक की सफ़ेदी ज़ाहिर होने लगी और उस कलिमा को तीन बार फ़रमाया आगाह मैंने पहुँचा दिया।

हदीस (27) अबूदाऊद ने अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो किसी के लिये सिफ़ारिश करे और वह उसके लिये कुछ हदिया दे और यह क़बूल करले वह सूद के दरवाज़ों में से एक बड़े दरवाज़ा पर आगया।

मसाइल फ़िक़्हिया

लोगों के झगड़ों और मुनाज़आत के फ़ैसला करने को क़ज़ा कहते हैं। (दुर्रेमुख़्तार 296) क़ज़ा फ़र्ज़े किफ़ाया है क्योंकि बिग़ैर उसके न लोगों के हुक़ूक़ की मुहाफ़ज़त हो सकती न अमने आम्मा क़ाइम रह सकता है। जिसको क़ाज़ी बनाया जाता है अगर वही उस ओहदा का सालेह है दूसरे में सलाहियत ही न हो कि इन्साफ़ करे उस सूरत में ओहदा क़ज़ा क़बूल करलेना वाजिब है और अगर दूसरा भी उस क़ाबिल है मगर यह ज़्यादा सलाहियत रखता हो तो उसको क़बूल करना मुस्तहब है और अगर दूसरे भी उसी क़ाबिलयत के हैं तो इख़्तियार है क़बूल करे या न करे और अगर यह सलाहियत रखता है मगर दूसरा उससे बेहतर है तो उसको क़बूल करना मकरूह है और यह शख़्स अगर खुद जानता है कि यह काम मुझसे अन्जाम न पा सकेगा तो क़बूल करना हराम है (आलमगीरी)

मसअला.1:– क़ाज़ी उसी को बना सकते हैं जिसमें शराइते शहादत पाये जायें वह यह हैं मुसलमान, आक़िल, बालिग़, आज़ाद हो, अन्धा न हो, गूँगा न हो, बिल्कुल बहरा न हो कि कुछ न सुने, महदूद फ़िलक़ज़फ़ न हो। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार स.298)

मसअला.2:– काफ़िर को क़ाज़ी बनाया इस लिये कि वह कुफ़्फ़ार के मुआमलात को फ़ैसल करे यह होसकता है मगर मुसलमानों के मुआमलात फ़ैसल करने का उसे इख़्तियार नहीं। (रद्दुलमुहतार 299)

मसअला.3:– क़ाज़ी मुक़र्रर करना बादशाहे इस्लाम का काम है या सुलतान के मातहत जो रियासतें

ख़िराज गुज़ार हैं जिनको सुल्तान ने कुज़ात के अज़्ल व नसब का इख़्तियार दिया (काज़ियों को माजूल करने और मुक़र्रर करने का इख़्तियार) हो यह भी क़ाज़ी मुक़र्रर कर सकती हैं। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.4:– फ़ासिक़ को क़ाज़ी बनाना न चाहिए और अगर मुक़र्रर करदिया गया तो उसकी क़ज़ा नाफ़िज़ होगी। फ़ासिक़ को मुफ़्ती बनाना यानी उससे फ़तवा पूछना दुरुस्त नहीं क्योंकि फ़तवा उमूरे दीन से है और फ़ासिक़ का क़ौल दियानात में ना'मोअ्तबर। क़ाज़ी ने अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया यह जाइज़ नहीं जब कि दोनों में दुनियावी अदावत हो। (दुर्रेमुख़्तार 299)

मसअ्ला.5:– जिस वक़्त उसको क़ाज़ी मुक़र्रर किया था उस वक़्त आदिल (ग़ैर फ़ासिक़) था उस के बाद फ़ासिक़ होगया तो फ़िस्क़ की वजह से माज़ूल न हुआ मगर माज़ूली का मुस्तहक़ होगया बल्कि सुलतान पर माज़ूल कर देना वाजिब है और अगर सुलतान ने उसके तक़र्रुर के वक़्त यह शर्त करदी है कि अगर फ़ासिक़ होजायेगा तो मअ्ज़ूल होजायेगा तो फ़िस्क़ करने से ख़ुद ही मअ्ज़ूल होगया मअ्ज़ूल करने की ज़रूरत नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– जिस तरह बादशाहे आदिल की तरफ़ से ओहदा क़बूल करना जाइज़ है बादशाह ज़ालिम की तरफ़ से भी क़बूल करना सहीह है मगर बादशाहे ज़ालिम की तरफ़ से उस ओहदा को क़बूल करना उस वक़्त दुरुस्त है जब कि क़ाज़ी अद्ल व इन्साफ़ व हक़ के मुताबिक़ फ़ैसला कर सकता हो उसके फ़ैसलों में ना'जाइज़ तौर पर बादशाह मुदाख़लत न करता हो और अहकाम को मुताबिक़े शरअ् नाफ़िज़ करने से मनअ् न करता हो और अगर यह बातें न हों बल्कि जानता हो कि हक़ के मुताबिक़ फ़ैसला ना'मुम्किन होगा या उसके फ़ैसलों में बेजा मुदाख़लत होगी या बाज़ अहकाम की तनक़ीद से मनअ् किया जायेगा तो उस ओहदा को क़बूल न करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– बादशाह को चाहिए कि रिआ़या में जो उस ओहदा के लिए ज़्यादा मोज़ूँ (लायक़) हो उसे क़ाज़ी बनाये क्योंकि हदीस में इरशाद हुआ कि जिसने किसी को काम सिपुर्द कर दिया और उसकी रिआ़या में उससे बेहतर मौजूद था उसने अल्लाह व रसूल व जमाअ़ते मुस्लिमीन की ख़ियानत की। क़ाज़ी में यह औसाफ़ हों मुआ़मला फ़हम हो, फ़ैसला नाफ़िज़ करने पर क़ादिर हो, वजीह हो, बा रोअ्ब हो, लोगों की बातों पर सब्र करता हो, साहिबे स्रवत (मालदार) हो, ताकि तमअ् लालच में मुब्तला न हो (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– क़ाज़ी उसको किया जाये जो इफ़्फ़त व पारसाई (पाक दामनी, नेक) और अ़क़्ल व सलाह (अ़क़्ल'मन्दी व सलाहियत) व फ़हम (समझदारी) व इल्म में मोअ्तमद अ़लैहि हो उसके मिज़ाज में शिद्दत हो मगर ज़्यादा शिद्दत न हो और नर्मी हो तो इतनी न हो जो लोगों से दब जाये। वजीह हो उसका रोअ्ब लोगों पर हो। लोगों की तरफ़ से जो उसपर मसाइब (तकलीफ़ें) आयें उन पर सब्र करे।

तम्बीह :– ओहदा–ए–क़ज़ा क़बूल कर लेना अगर्चे जाइज़ है मगर उलमा व अइम्मा की उसके मुतअ़ल्लिक़ मुख़्तलिफ़ राय हैं बाज़ ने उसमें हरज न समझा और बाज़ ने बचने ही को तर्जीह दी और हदीस से भी उसी राय की तर्जीह ज़ाहिर होती है इरशाद फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम कि जो शख़्स क़ाज़ी बनाया गया वह बिग़ैर छुरी ज़बह कर दिया गया। ख़ुद हमारे इमामे आज़म रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु को ख़लीफ़ा ने यह ओहदा देना चाहा मगर इमाम ने इन्कार किया यहाँ तक कि नव्वे दुर्रे आप को लगाये गये फिर भी आपने उसे क़बूल नहीं फ़रमाया और यह फ़रमाया कि अगर समन्दर तैर कर पार करने का मुझे हुक्म दिया जाये तो यह कर सकता हूँ मगर उस ओहदा को क़बूल नहीं कर सकता। अ़ब्दुल्लाह इब्ने वहब रहमतुल्लाहि तआ़ला को यह ओहदा दिया गया उन्होंने इन्कार कर दिया और पागल बन गये जो कोई उनके पास आता मुँह नोचते और कपड़े फाड़ते उनके एक शागिर्द ने सूराख़ से झाँक कर कहा अगर आप उस ओहदा–ए–क़ुज़ा को क़बूल फ़रमा लेते और अद्ल करते तो बेहतर होता जवाब दिया ऐ शख़्स तेरी अ़क़्ल यह है क्या तूने नहीं सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं क़ाज़ियों का हश्र सलातीन

के साथ होगा और उलमा का हश्र अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के साथ होगा। इमाम मुहम्मद रहिमाहुल्लाहु तआला से कहा गया उन्होंने उससे इन्कार किया जब कैद कर दिये गये और पावों में बेड़ियाँ डालदी गईं मजबूरन उन्होंने कबूल किया।

मसअ्ला.9:– हुकूमत की न तलब होनी चाहिए न उसका सुवाल करना चाहिए तलब का यह मतलब है कि बादशाह के यहाँ उस की दरख़्वास्त पेश करे और सुवाल का मतलब यह कि लोगों के सामने यह तज़किरा करे कि अगर बादशाह की तरफ़ से मुझे फुलाँ जगह की हुकूमत मिलेगी तो कबूल कर लूँगा और दिल में यह ख़्वाहिश हो कि यह ख़बर किसी तरह बादशाह तक पहुँच जाये और वह मुझे बुलाकर हुकूमत अता करे लिहाज़ा उस की ख़्वाहिश न दिल में हो न ज़बान से उसका इज़हार हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– जो लोग ओहदा–ए–कुज़ा की काबिलयत रखते हैं सबने इन्कार कर दिया और किसी ना'अहल को काज़ी बना दिया गया तो वह सब गुनहगार हुए और अगर काबिलयत वालों को छोड़ कर बादशाह ने ना'काबिल को काज़ी बनाया तो बादशाह गुनाहगार है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– दो शख़्स ओहदा–ए–कुज़ा के काबिल हैं मगर उनमें एक ज़्यादा फ़कीह है दूसरा ज़्यादा परहेज़गार है तो उसको काज़ी मुकर्रर किया जाये जो ज़्यादा परहेज़गार है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– काज़ी जिसका मुकल्लिद है अगर उसका कौल मसअ्ला मुतनाज़अ् फीह में मालूम व महफ़ूज़ है तो उसके मुवाफ़िक फ़ैसला करे वरना फ़ुक़्हा से फ़तावा हासिल करके उसके मुताबिक अमल करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– काज़ी के तकर्रुर को किसी शर्त पर मुअल्लक करना या किसी वक़्त की तरफ़ मुज़ाफ़ करना जाइज़ है यानी जब वह शर्त पाई जायेगी या वह वक़्त आजायेगा उस वक़्त वह काज़ी होगा उसके पहले नहीं होगा मस्लन यह कहा कि तुम जब फुलाँ शहर में पहुँच जाओ तो वहाँ के काज़ी हो या फुलाँ महीना के शुरूअ् से तुमको काज़ी किया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– एक वक़्ते मुअय्यन तक के लिए भी किसी को काज़ी मुकर्रर किया जा सकता है मस्लन एक दिन के लिये काज़ी बनाया तो एक ही दिन काज़ी रहेगा और अगर उसको किसी ख़ास जगह का काज़ी बनाया है तो वहीं का काज़ी है दूसरी जगह के लिए वह काज़ी नहीं और उसका भी पाबन्द किया जा सकता है कि फुलाँ किस्म के मुकद्दमात की समाअत न करे और यह भी हो सकता है कि किसी ख़ास शख़्स के मुआमलात की निस्बत इस्तिस्ना कर दिया जाये यानी फुलाँ के मुकद्दमा की समाअत न करे और बादशाह यह भी कह सकता है कि जब तक मैं सफ़र से वापस न आऊँ फुलाँ मुआमला की समाअत न की जाये उस सूरत में अगर मुकद्दमा की समाअत की और फ़ैसला भी देदिया वह नाफ़िज़ नहीं होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– बादशाह ने किसी शख़्स की निस्बत यह कह दिया कि मैंने तुम्हें काज़ी मुकर्रर किया और यह नहीं ज़ाहिर किया कि कहाँ का काज़ी उसको बनाया तो जहाँ तक सलतनत है वह सब जगह का काज़ी होगया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– एक मुकद्दमा की समाअत करके फ़ैसला सादिर कर दिया उसके बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि उलमा के सामने दोबारा मुकद्दमा की समाअत की जाये काज़ी पर उसकी पाबन्दी लाज़िम नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.17:– किसी शहर के तमाम लोगों ने मुत्तफ़िक होकर एक शख़्स को काज़ी मुकर्रर करदिया कि वह उनके मुआमलात फ़ैसल किया करे उनके काज़ी बनाने से वह काज़ी न होगा कि काज़ी बनाना बादशाहे इस्लाम का काम है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– काज़ी ने किसी को अपना नाइब बनाया कि वह दअ्वे की समाअत करे और गवाहों के बयानात ले मगर मुआमला को फ़ैसल न करे तो यह नाइब उतना ही कर सकता है जितना

क़ाज़ी ने उसे इख़्तियार दिया है यानी फ़ैसला नहीं कर सकता और जो कुछ उसने तहक़ीक़ात करके क़ाज़ी के रुबरु पेश कर दिया क़ाज़ी गवाहों के उन बयानात या मुद्दआ अलैहि के इक़रार पर फ़ैसला नहीं कर सकता कि क़ाज़ी के सामने न गवाहों ने गवाही दी है न मुद्दआ अलैहि ने इक़रार किया है बल्कि उस सूरत में क़ाज़ी अज़ सरे नो बयान लेगा उसके बाद फ़ैसला करेगा। (ख़ानिया)

मसअ्ला.19:– बादशाह ने क़ाज़ी को मअ्ज़ूल कर दिया उसकी ख़बर जब क़ाज़ी को पहुँचेगी उस वक़्त मअ्ज़ूल होगा यानी मअ्ज़ूल करने के बाद ख़बर पहुँचने से पहले जो फ़ैसले करेगा सहीह व नाफ़िज़ होंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.20:– बादशाह मरगया तो क़ाज़ी वग़ैरा हुक्काम जो उसके ज़माना में थे सब ब'दस्तूर अपने अपने ओहदा पर बाक़ी रहेंगे यानी बादशाह के मरने से मअ्ज़ूल न होंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.21:– क़ाज़ी की आँखें जाती रहीं या बिल्कुल बहरा होगया या अक़्ल जाती रही या मुर्तद होगया तो ख़ुद ब'ख़ुद मअ्ज़ूल होगया और अगर फिर यह अअ्ज़ार जाते रहे यानी मसलन आँखें ठीक हो गईं तो ब'दस्तूर साबिक़ क़ाज़ी हो जायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.22:– क़ाज़ी ने बादशाह के सामने कहदिया मैंने अपने को मअ्ज़ूल कर दिया और बादशाह ने सुन लिया तो मअ्ज़ूल होगया और न सुना तो मअ्ज़ूल न हुआ यूँहीं बादशाह के पास यह तहरीर भेजदी कि मैंने अपने को मअ्ज़ूल कर दिया और तहरीर पहुँच गई मअ्ज़ूल होगया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.23:– क़ाज़ी के लड़के ने किसी पर दअ्वा किया और यह मुक़द्दमा क़ाज़ी के पास पेश हुआ या किसी दूसरे ने क़ाज़ी के लड़के पर दअ्वा क़ाज़ी के यहाँ किया क़ाज़ी उस मुआमला में ग़ौर करे अगर लड़के के ख़िलाफ़ फ़ैसला हो जब तो ख़ुद ही फ़ैसला करदे और अगर लड़के के मुवाफ़िक़ फ़ैसला होगा तो दोनों से कहदे उस दअ्वा को तुम किसी दूसरे के पास लेजाओ। बादशाह जिस ने क़ाज़ी बनाया है क़ाज़ी उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला करेगा जब भी नाफ़िज़ होगा यूँहीं क़ाज़ी मातहत ने क़ाज़ी बाला के मुवाफ़िक़ फ़ैसला किया यह भी नाफ़िज़ होगा। क़ाज़ी ने अपनी सास के मुवाफ़िक़ फ़ैसला किया अगर क़ाज़ी की बीवी ज़िन्दा है तो फ़ैसला ना'जाइज़ है और बीवी मर चुकी है तो जाइज़ है। सोतैली माँ के मुवाफ़िक़ फ़ैसला किया अगर उसका बाप ज़िन्दा है तो ना'जाइज़ है और मरचुका है तो जाइज़ है। (ख़ानिया)

मसअ्ला.24:– दो शख़्सों के माबैन मुक़द्दमा है एक ने क़ाज़ी के लड़के को अपना वकील किया क़ाज़ी ने उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला किया ना'जाइज़ है और ख़िलाफ़ फ़ैसला किया तो जाइज़ है यूँहीं अगर क़ाज़ी का बेटा वसी हो तो मुवाफ़िक़ फ़ैसला करना जाइज़ नहीं। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.25:– क़ाज़ी को क़ुज़ा के लिये ऐसी जगह बैठना चाहिए जहाँ लोग आसानी से पहुँच सकें ऐसी जगह न बैठे जहाँ मुसाफ़िर व ग़रीबुल'वतन पहुँच न सकें। सबसे बेहतर मस्जिद जामेअ् है फिर वह मस्जिद जहाँ पंजगाना जमाअत होती हो अगर्चे उसमें जुमा न पढ़ा जाता हो। और अगर मस्जिद जामेअ् वस्त शहर (बीच शहर) में न हो बल्कि शहर के एक किनारा पर वाक़ेअ् है कि अकसर लोगों को वहाँ जाने में दुश्वारी होगी तो वस्त शहर में कोई दूसरी मस्जिद तजवीज़ करे। यह भी हो सकता है कि अपने महल्ला की मस्जिद को इख़्तियार करे। मस्जिद बाज़ार चूँकि ज़्यादा मशहूर है मस्जिदे महल्ला से बेहतर है। (आलमगीरी स.410)

मसअ्ला.26:– क़ाज़ी क़िब्ला को पीठ करके बैठे जिस तरह ख़तीब व मुदर्रिस क़िब्ला को पीठ करके बैठते हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.27:– अगर अपने मकान में इजलास करे दुरुस्त है मगर इज़्ने आम होना चाहिए यानी अरबाबे हाजत के लिये रोक, टोक न हो। (दुर्रे मुख़्तार) यह उस ज़माना की बातें हैं जब कि दारूल क़ुज़ा न था मस्जिद या अपने मकान में क़ाज़ी इजलास किया करते थे और अब दारूलक़ुज़ा मौजूद हैं आम तौर पर लोगों के इल्म में यही बात है कि क़ाज़ी का इजलास दारुलक़ुज़ा में होता है

लिहाज़ा क़ाज़ी के लिये यह मुनासिब जगह है।

मसअ्ला.28:– क़ाज़ी कहीं भी इजलास करे दरबान मुक़र्रर करदे कि मुक़द्दमा वाले दरबारे क़ाज़ी में हुजूम व शोर व ग़ुल न करें वह उनको बेजा बातों से रोकेगा मगर दरबान को यह जाइज़ नहीं कि लोगों से कुछ लेकर अन्दर आने की इजाज़त देदे। (ख़ानिया)

मसअ्ला.29:– क़ाज़ी के पास जब मुद्दई व मुद्दआ अ़लैहि दोनों फ़रीक़े मुक़द्दमा हाज़िर हों तो दोनों के साथ यकसां बरताव करे नज़र करे तो दोनों की तरफ़ नज़र करे बात करे तो दोनों से करे ऐसा न करे कि एक की तरफ़ मुख़ातब हो दूसरे से बे तवज्जोही रखे अगर एक से ब'कुशादा पेशानी बात करे तो दूसरे से भी करे दोनों को एक क़िस्म की जगह दे यह न हो कि एक को कुर्सी दे और दूसरे को खड़ा रखे या फ़र्श पर बिठाये उनमें किसी से सरगोशी न करे न एक की तरफ़ हाथ या सर या अबरू से इशारा करे न हँसकर किसी से बात करे। इजलास में हंसी मज़ाक़ न करे न उन दोनों से न किसी और से। अ़लावा कचहरी के भी कस्रत मिज़ाह से परहेज़ करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.30:– दोनों फ़रीक़ में से एक की तरफ़ दिल झुकता है और क़ाज़ी का जी चाहता है कि यह अपने सुबूत व दलाइल अच्छी तरह पेश करे तो यह जुर्म नहीं कि दिल का मैलान इख़्तियारी चीज़ नहीं हाँ जो चीज़ें इख़्तियारी हों उनमें अगर एकसा मुआमला न करे तो बेशक मुजि्रम है(आलमगीरी)

मसअ्ला.31:– दोनों में से एक की दअ़्वत न करे एक की दअ़्वत करता है तो दूसरे की भी करे। एक से ऐसी ज़बान में बात न करे जिसको दूसरा न जानता हो। अपने मकान पर भी एक से तन्हाई में कोई बात न करे बल्कि अपने मकान पर आने की उसे इजाज़त भी न दे बिलजुम्ला हर उस बात से इज्तिनाब (परहेज़) करे जिससे लोगों को बदगुमानी का मौक़ा हाथ आये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.32:– क़ाज़ी को हदिया क़बूल करना ना'जाइज़ है कि यह हदिया नहीं है बल्कि रिश्वत है जैसा कि आजकल अकस्र लोग हुक्काम को डाली के नाम से देते हैं और उससे मक़सूद सिर्फ़ यही होता है कि अगर कोई मुआमला होगा तो हमारे साथ रिआयत होगी। क़ाज़ी को अगर यह मा़लूम हो कि उसकी चीज़ फेरदी जायेगी तो उसे तकलीफ़ होगी तो चीज़ को लेले और उसकी वाजिबी क़ीमत देदे कम क़ीमत देकर लेना भी ना'जाइज़ है और अगर कोई शख़्स हदिया रखकर चलागया मा़लूम नहीं कि वह कौन था या उसका मकान दूर है फेरने में वक़्त लगता है तो बैतुल'माल में यह चीज़ दाख़िल करदे ख़ुद न रखे जब देने वाला मिल जाये उसे वापस करदे।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.33:– जिस तरह हदया लेना जाइज़ नहीं है दीगर तबर्रुआ़त भी ना'जाइज़ है। मस्लन क़र्ज़ लेना आ़रियत लेना, किसी से कोई काम मुफ़्त कराना बल्कि वाजिबी उजरत से कम देकर काम लेना भी जाइज़ नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.34:– वाइज़ व मुफ़्ती व मुदर्रिस व इमामे मस्जिद हदया क़बूल कर सकते हैं कि उनको जो कुछ दिया जाता है वह उनके इ़ल्म का एअ्ज़ाज़ है किसी चीज़ की रिश्वत नहीं है। अगर मुफ़्ती को इस लिए हदया दिया कि फ़तवे में रिआयत करे तो देना, लेना दोनों ह़राम और अगर फ़तवा बताने की उजरत है तो यह भी ह़लाल नहीं। हाँ लिखने की उजरत ले सकता है मगर यह भी न ले तो बेहतर है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार 310)

मसअ्ला.35:– क़ाज़ी को बादशाह ने या किसी ह़ाकिमे बाला ने हदया दिया तो लेना जाइज़ है यूँही क़ाज़ी के किसी रिश्तेदार महरम ने हदया दिया या ऐसे शख़्स ने हदया दिया जो उसके क़ाज़ी होने से पहले भी दिया करता था और उतना ही दिया जितना पहले दिया करता था तो क़बूल करना जाइज़ है और पहले जितना देता था अब उससे ज़ाइद दिया तो जितना ज़्यादा दिया हैं वापस करदे हाँ अगर हदया देने वाला पहले से अब ज़्यादा मालदार है और पहले जो कुछ देता था अपनी हैसियत के लाइक़ देता था और उस वक़्त जो पेश कर रहा है उस हैसियत के मुताबिक़ है तो ज़्यादती के क़बूल करने में ह़रज नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार, फ़त्ह)

मसअला.36:– रिश्तेदार या जिसकी आदत पहले से हदया देने की थी उन दोनों के हदये काज़ी को कबूल करना उस वक़्त जाइज़ हैं जब कि उनके मुक़द्दमात उस काज़ी के यहाँ न हों वरना दौराने मुक़द्दमा में हदया, हदया नहीं बल्कि रिश्वत है हाँ बादे ख़त्म मुक़द्दमा देना चाहे तो दे सकता है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअला.37:– दअ्वते ख़ास्सा कबूल करना काज़ी के लिये जाइज़ नहीं दअ्वते आम्मा कबूल कर सकता है मगर जिसका मुक़द्दमा काज़ी के यहाँ हो उसकी दअ्वते आम्मा को भी कबूल न करे दअ्वते ख़ास्सा वह है कि अगर मालूम होजाये कि काज़ी उसमें शरीक न होगा तो दावत ही न होगी और आम्मा वह है कि काज़ी आये या न आये बहर हाल लोगों की दअ्वत होगी खाना खिलाया जायेगा मस्लन दअ्वते वलीमा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअला.38:– काज़ी को चाहिए कि किसी से कर्ज़ आरियत न ले मगर जो शख़्स काज़ी होने से पहले ही उसका दोस्त था या शरीक था जिससे उस क़िस्म के मुआमलात जारी थे उससे कर्ज़ लेने और आरियत लेने में कोई हरज नहीं। (आलमगीरी)

मसअला.39:– जनाज़ा में जा सकता है मरीज़ की एयादत के लिये भी जायेगा मगर वहाँ देर तक न ठहरे न वहाँ अहले मुक़द्दमा को कलाम का मौक़ा दे। (आलमगीरी)

मसअला.40:– काज़ी ने ऐसा फ़ैसला दिया जो किताबुल्लाह के ख़िलाफ़ है या सुन्नते मशहूरा (वह अहकाम जो हदीसे मशहूर से साबित हों) या इजमा (सहाबा या मुज्तहेदीन व फ़ुक़हा का किसी शरई मुआमले में मुत्तफ़िक होजाना) के मुख़ालिफ़ है यह फ़ैसला नाफ़िज़ न होगा मसलन मुद्दई ने सिर्फ़ एक को गवाह पेश किया और क़सम भी खाई कि मेरा हक़ मुद्दआ अलैहि के ज़िम्मा है और काज़ी ने एक गवाह और यमीन (क़सम) से मुद्दई के मुवाफ़िक़ फ़ैसला कर दिया यह फ़ैसला नाफ़िज़ नहीं अगर दूसरे काज़ी के पास मुराफ़आ (अपील) होगा उस फ़ैसले को बातिल कर देगा यूँहीं वली मक़तूल ने क़सम के साथ बताया कि फ़ुलाँ शख़्स क़ातिल है महज़ उस की यमीन (क़सम) पर काज़ी ने क़िसास का हुक्म देदिया यह नाफ़िज़ नहीं। या महज़ तन्हा मुरदिआ (दूध पिलाने वाली) की शहादत पर कि उन दोनों मियाँ बीवी ने मेरा दूध पिया है काज़ी ने तफ़रीक़ (जुदाई) का हुक्म देदिया यह नाफ़िज़ नहीं। गुलाम या बच्चा का फ़ैसला नाफ़िज़ नहीं काफ़िर ने मुस्लिम के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया यह भी नाफ़िज़ नहीं।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहत)

मसअला.41:– यौमे मौत (मरने का दिन) फ़ैसला के तहत में दाख़िल नहीं यानी दो शख़्स के माबैन महज़ इस बात में इख़्तिलाफ़ हुआ कि फ़ुलाँ शख़्स किस दिन मरा है उसके मुतअल्लिक़ काज़ी ने फ़ैसला भी करदिया इस फ़ैसले का वजूद व अदम बराबर है यानी इस फ़ैसले के बाद अगर दूसरा शख़्स उस अम्र पर गवाह पेश करे जिससे मालूम हो कि उस वक़्त मरा न था तो यह गवाह मक़बूल होंगे उसकी वजह यह है कि फ़ैसले का मक़सद रफ़अ् नज़ाअ् (झगड़ा दूर करना) है कि गवाहों से साबित करके नज़ाअ् को दूर करें और मौत फ़ी नफ़्सेही (अपने आप में) महल्ले नज़ाअ् नहीं लिहाज़ा अगर उसके साथ कोई ऐसी चीज़ शामिल हो जो महल्ले नज़ाअ् बन सकती है तो उस के ज़िम्न में यौमे मौत तहते कज़ा दाख़िल हो सकता है मस्लन एक शख़्स ने यह दअ्वा किया कि यह चीज़ मेरे बाप की है और वह फ़ुलाँ तारीख़ में मरगया और मैं उसका वारिस् हूँ और उसको गवाहों से साबित कर दिया काज़ी ने उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला किया और चीज़ उसे दिलादी उसके बाद एक औरत दअ्वा करती है कि मैं इस मय्यित की ज़ौजा हूँ उसने मुझसे फ़ुलाँ तारीख़ में निकाह किया था वह मरगया मुझ को महर और तर्का मिलना चाहिए और निकाह की जो तारीख़ बताती है यह उस के बाद है जो बेटे ने मरने की साबित की थी और औरत ने भी अपने दअ्वे को गवाहों से साबित कर दिया तो काज़ी उस औरत को भी महर व तर्का मिलने का हुक्म देगा क्योंकि उन दोनों दअ्वों का हासिल यह है कि मूरिस् मर चुका और मैं वारिस हूँ तारीख़े मौत को उसमें कुछ दख़ल नहीं हाँ अगर मौत मशहूर है छोटे, बड़े सब को मालूम है और औरत उस तारीख़ के बाद निकाह

होना बताती है तो वह यक़ीनन झूटी है उसकी बात क़ाबिले एअ़तिबार नहीं और अगर यह सब बातें क़त्ल के बा़द हों कि पहले बेटे ने अपने बाप के क़त्ल किये जाने की तारीख़ गवाहों से साबित की और क़ाज़ी ने फ़ैसला कर दिया उसके बा़द औ़रत ने उस तारीख़ के बा़द अपना निकाह़ होना बयान किया तो औ़रत के गवाह मक़बूल नहीं क्योंकि क़त्ल के मुतअ़ल्लिक़ जो अह़काम हैं औ़रत के गवाह क़बूल कर लिये जाने में बाति़ल हो जाते हैं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुह़तार स.331)

मसअ्ला.42:– अगर तारीख़ से मह़ज़ मौत का बताना मक़सूद न हो बल्कि उसका मक़सूद कुछ और हो मस्लन मिल्क का तक़द्दुम साबित (मिलकियत का पहले साबित करना) करना चाहता हो तो यौमे मौत तह़ते क़ज़ा (फ़ैसले के तह़त) दाख़िल है मस्लन दो शख़्स एक चीज़ के मुद्दई हैं जो तीसरे के हाथ में है हर एक का यह दअ़्वा है कि यह चीज़ मेरे बाप की है वह मरगया और उस चीज़ को तर्का (मैयत का छोड़ा हुआ माल व जायदाद) में छोड़ा तो जो अपने बाप के मरने की तारीख़ को मुक़द्दम साबित करेगा वही पायेगा और अगर मौत की तारीख़ बयान न करते या दोनों ने एक ही तारीख़ बयान की होती तो दोनों निस्फ़ निस्फ़ के ह़क़दार होते। एक शख़्स ने यह दअ़्वा किया कि फ़ुलाँ शख़्स की जो चीज़ तुम्हारे पास है उसने मुझे वकील किया है कि उसपर क़ब्ज़ा करूँ मुद्दआ़ अ़लैहि ने गवाहों से साबित किया कि वह शख़्स फ़ुलाँ रोज़ मरगया यह गवाह मक़बूल हैं क्योंकि उससे मक़सूद यह है कि वकील वकालत से उसके मरने की वजह से मअ़ज़ूल होगया लिहाज़ा यह शख़्स क़ब्ज़ा नहीं कर सकता। (रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला.43:– बैअ़ व हिबा व निकाह़ वग़ैरहा जुमला उ़क़ूद (तमाम अ़क़्द, लेनदेन वग़ैरा के क़ौल व क़रार) व मदायनात तह़ते क़ज़ा दाख़िल हैं या़नी जब एक मरतबा एक मुअ़य्यन दिन में उसका होना साबित कर दिया गया और क़ाज़ी ने फ़ैसला देदिया तो उसके बा़द की तारीख़ अगर कोई साबित करना चाहे यह मक़बूल नहीं मस्लन एक शख़्स ने गवाहों से यह साबित किया कि ज़ैद ने यह चीज़ फ़ुलाँ तारीख़ में मेरे हाथ बैअ़ की है दूसरा यह कहता है कि उसी ज़ैद ने मेरे हाथ फ़ुलाँ तारीख़ में बैअ़ की है और उस की तारीख़ मुअख़्ख़र है यह गवाह मक़बूल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुह़तार स.332)

मसअ्ला.44:– जिस अम्र में नज़ाअ़ है उस के मुतअ़ल्लिक़ क़ाज़ी के सामने जैसा सुबूत होगा क़ाज़ी उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला करने पर मजबूर है हो सकता है कि क़ाज़ी के सामने ह़क़दार ने सुबूत न पहुँचाया और ग़ैर मुस्तह़क़ ने साबित कर दिखाया और क़ाज़ी ने उसके ह़क़ में फ़ैसला करदिया यह फ़ैसला ब'ज़ाहिर नाफ़िज़ ही होगा मगर बाति़नन (ह़क़ीक़त में) नाफ़िज़ है या नहीं उसकी दो सूरतें हैं बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें क़ज़ा–ए–क़ाज़ी ज़ाहिरन व बाति़नन हर तरह़ नाफ़िज़ है और बाज़ ऐसी हैं जिन में ज़ाहिरन नाफ़िज़ है बाति़नन (ह़क़ीक़त में) नाफ़िज़ नहीं या़नी मुद्दई वह चीज़ मुद्दआ़ अ़लैहि से जबरन ले सकता है मगर उससे नफ़ा ह़ासिल करना बल्कि उसको अपने क़ब्ज़ा में लेना ना'जाइज़ है वह गुनहगार है मुवाख़ज़ा उख़रवी (आख़िरत की पकड़) में गिरफ़्तार है क़िस्मे अव्वल उ़क़ूद व फ़ुसूख़ हैं या़नी किसी अ़क़्द के मुतअ़ल्लिक़ नज़ाअ़ है मस्लन मुद्दई ने दअ़्वा किया कि मुद्दआ़ अ़लैहि ने यह चीज़ मेरे हाथ बैअ़ की है और मुद्दआ़ अ़लैहि मुन्किर है मुद्दई ने गवाहों से बैअ़ करना साबित कर दिया और क़ाज़ी ने बैअ़ का हुक्म देदिया फ़र्ज़ करो कि बैअ़ नहीं हुई थी मगर क़ाज़ी का यह हुक्म ख़ुद ब'मन्ज़िला बैअ़ (बैअ़ की तरह़) है या इक़ाला (बैअ़ को ख़त्म करने) को गवाहों से साबित किया तो अगर इक़ाला न भी हुआ यह हुक्मे क़ाज़ी ही इक़ाला है। क़िस्मे दोम इमलाके मुरसला(वह जायदाद जिसमें मिलकियत का दावा किया जाये और सबबे मिल्क बयान न किया जाये)है कि मुद्दई ने चीज़ के मुतअ़ल्लिक़ मिल्क का दअ़्वा किया और उसका सबब कुछ नहीं बयान किया मस्लन हिबा या ख़रीदने के ज़रीआ़ से मैं मालिक हुआ हूँ और गवाहों से साबित करदिया उस सूरत में अगर वाक़ेअ़ में मुद्दई की मिल्क न हो तो बावजूद फ़ैसला उसको लेना जाइज़ नहीं और तसर्रुफ़(अपने इस्तेमाल में लाना)ह़राम है यूँही अगर मिल्क का सबब बयान किया मगर वह सबब ऐसा है जिसका इन्शा मुम्किन नहीं मसलन यह कहता

है कि बज़रिआ विरासत चीज़ मुझे मिली है और हक़ीक़त में ऐसा नहीं तो बावजूद क़ज़ाए क़ाज़ी उसका लेना जाइज़ नहीं यूँही अगर किसी औरत पर दअ्वा किया कि यह मेरी औरत है और अगर गवाहों से निकाह साबित करदिया हालांकि वह औरत दूसरे की मन्कूहा है तो अगर्चे क़ाज़ी ने उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला करदिया उसको उस औरत से सोहबत करना जाइज़ नहीं।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.45:– क़ज़ा–ए–क़ाज़ी ज़ाहिरन व बातिनन (हक़ीक़त में) नाफ़िज़ होने में यह शर्त है कि क़ाज़ी को गवाहों का झूटा होना मालूम न हो और अगर ख़ुद क़ाज़ी को इल्म है कि यह गवाह झूटे हैं ब'वजूद उसके मुद्दई के मुवाफ़िक़ फ़ैसला करदिया यह क़ज़ा बिल्कुल नाफ़िज़ नहीं न ज़ाहिरन न बातिनन। (दुर्रेमुख़्तार 333)

मसअ्ला.46:– मुद्दई के पास गवाह नहीं हैं मुद्दआ अ़लैहि पर हलफ़ दिया गया उसने झूटी क़सम खाली और क़ाज़ी ने मुद्दआ अ़लैहि के मुवाफ़िक़ फ़ैसला करदिया यह क़ज़ा भी बातिनन नाफ़िज़ नहीं मस्लन औरत ने दअ्वा किया कि शौहर ने उसे तीन तलाक़ें देदी हैं और शौहर इन्कार करता है औरत तलाक़ के गवाह न पेश कर सकी शौहर पर हल्फ़ दिया गया उसने क़सम खाली कि मैंने तलाक़ नहीं दी है क़ाज़ी ने औरत का दअ्वा ख़ारिज कर दिया अगर वाक़ेअ् में औरत अपने दअ्वे में सच्ची है तो उसे शौहर के साथ रहने और वती पर क़ुदरत देने की इजाज़त नहीं जिस तरह हो सके उससे पीछा छुड़ाये और यह शौहर मरजाये तो उसकी मीरास् लेना भी औरत को जाइज़ नहीं(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.47:– फ़ैसला सहीह होने के लिए यह शर्त है कि क़ाज़ी अपने मज़हब के मुवाफ़िक़ फ़ैसला करे अगर अपने मज़हब के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया दानिस्ता उसने ऐसा किया या भूलकर बहर हाल उसका हुक्म नाफ़िज़ न होगा मस्लन हन्फ़ी को यह इख़्तियार नहीं कि वह मज़हबे शाफ़िई के मुवाफ़िक़ फ़ैसला करे। (दुर्रेमुख़्तार)

ग़ायब के ख़िलाफ़ फ़ैसला दुरुस्त नहीं है

मसअ्ला.48:– क़ाज़ी के लिये यह दुरुस्त नहीं कि ग़ायब के ख़िलाफ़ फ़ैसला करे ख़्वाह वह शहादत के वक़्त ग़ायब हो या बादे शहादत व बादे तज़किया शुहूद (गवाहों के आदिल व ग़ैर आदिल होने की तहक़ीक़ के बाद) ग़ायब हुआ हो चाहे वह मज्लिसे क़ाज़ी से ग़ायब हो या शहर ही में न हो यह उस वक़्त है कि हक़ का सुबूत गवाहों से हुआ हो और अगर ख़ुद मुद्दआ अ़लैहि ने हक़ का इक़रार कर लिया हो तो उस सूरत में फ़ैसला के वक़्त उसका मौजूद होना ज़रूरी नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.49:– मुद्दआ अ़लैह ग़ायब है मगर उसका नाइब हाज़िर है नाइब की मौजूदगी में फ़ैसला करना दुरुस्त है अगर्चे मुद्दआ अ़लैह की अ़दम'मौजूदगी में हो मस्लन उस का वकील मौजूद है तो फ़ैसला सहीह है कि यह हक़ीक़तन उसका नाइब है या मुद्दआ अ़लैह मरगया है मगर उसका वसी मौजूद है या नाबालिग़ मुद्दआ अ़लैह है और उसके वली मस्लन बाप या दादा की मौजूदगी में फ़ैसला हुआ या वक़्फ़ का मुतव्वली कि यह वाक़िफ़ का क़ाइम मक़ाम है उसकी मौजूदगी में फ़ैसला दुरुस्त है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.50:– मुद्दआ अ़लैह के वकील की मौजूदगी में गवाहाने सुबूत पेश हुए फिर वह वकील मरगया या ग़ायब होगया और मुवक्किल की मौजूदगी में फ़ैसला हुआ यह फ़ैसला दुरुस्त है यूँहीं मुअक्किल के सामने गवाह गुज़रे और वकील की मौजूदगी में फ़ैसला हुआ यह भी दुरुस्त है यूँहीं मुद्दआ अ़लैहि के सामने सुबूत गुज़रा फिर वह मरगया और किसी वारिस के सामने फ़ैसला हुआ यह भी दुरुस्त है। (ग़ुरर)

मसअ्ला.51:– मय्यित के ज़िम्मा किसी का हक़ हो या मय्यित का किसी के ज़िम्मा हो उस सूरत में एक वारिस सबके क़ाइम मक़ाम होसकता है यानी उसके मुवाफ़िक़ या मुख़ालिफ़ जो फ़ैसला होगा वह सब के मुक़ाबिल तसव्वुर किया जायेगा कि यह फ़ैसला हक़ीक़तन मय्यित के मुक़ाबिल है और यह वारिस मय्यित का क़ाइम मक़ाम है मगर ऐन का दअ्वा हो तो वारिस उस वक़्त मुद्दआ अ़लैहि

बन सकता है जब वह ऐन उसके क़ब्ज़ा में हो और अगर उसको मुद्दआ अलैह बनाया जिसके पास वह चीज़ न हो तो दअ्वा मसमूअ् न होगा (दावा नहीं सुना जायेगा) और अगर दैन का दअ्वा हो तो तर्का की कोई चीज़ उसके क़ब्ज़ा में हो या न हो बहर हाल यह मुद्दआ अलैहि बन सकता है(दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला.52:– जिन लोगों पर जायदाद वक़्फ़ की गई है उनमें से बाज़ बक़िया मौक़ूफ़ अलैहिम (जिन पर जायदाद वक़्फ़ की गई है) के क़ाइम मक़ाम हो सकते हैं बशर्ते कि वक़्फ़ साबित हो नफ़्से वक़्फ़ में निज़ाअ् (यानी वक़्फ़ होने न होने में इख़्तिलाफ़ न हो) न हो और अगर निज़ाअ् वक़्फ़ में हो कि वक़्फ़ हुआ है या नहीं तो एक शख़्स दूसरे के क़ाइम मक़ाम न होगा। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला.53:– कभी ऐसा होता है कि हक़ीक़तन ख़स्म (मद्दे मक़ाबिल) के क़ाइम मक़ाम कोई नहीं है ऐसी सूरत में जानिबे शरअ् से उसका नाइब मुक़र्रर किया जाता है मस्लन एक शख़्स मरा और उसने माल और ना'बालिग़ बच्चों को छोड़ा और किसी को वसी नहीं बनाया उस सूरत में क़ाज़ी एक वसी मुक़र्रर करेगा और यह उस मय्यित का क़ाइम मक़ाम होगा यही दअ्वा करेगा और उसी पर दअ्वा होगा और उसी की मौजूदगी में फ़ैसला होगा। (दुरर)

मसअ्ला.54:– कभी हुक्मन नियाबत (यानी कभी हुकमन क़ायम मक़ाम होना होता है) होती है उसकी सूरत यह है कि ग़ायब पर दअ्वा हाज़िर पर दअ्वा के लिए सबब हो यानी दअ्वा तो हाज़िर पर है मगर उसका सबब ग़ायब पर दअ्वा है बिग़ैर ग़ायब को मुद्दआ अलैह बनाये हाज़िर पर दअ्वा नहीं चल सकता लिहाज़ा यह हाज़िर उस ग़ायब का हुक्मन क़ाइम मक़ाम है उसकी मिसाल यह है कि एक मकान एक शख़्स के क़ब्ज़ा में है उस पर किसी ने यह दअ्वा किया कि मैंने यह मकान फ़ुलाँ शख़्स से जो ग़ायब है ख़रीदा है और उसको गवाहों से साबित कर दिया हाकिम ने मुद्दई के हक़ में फ़ैसला कर दिया तो यह फ़ैसला जिस तरह उस हाज़िर के मुक़ाबिल में है उस ग़ायब के मुक़ाबिल में भी है यानी अगर वह ग़ायब हाज़िर होकर इन्कार करे तो यह इन्कार ना'मोअ्तबर है। (दुरर, गुरर) उसकी एक मिसाल यह भी है ज़ैद ने दअ्वा किया कि अम्र पर मेरे इतने रुपये हैं वह ग़ायब है बकर उसके हुक्म से उसका कफ़ील हुआ था जो मौजूद है और गवाहों से साबित कर दिया क़ाज़ी का फ़ैसला अम्र व बकर दोनों पर होगा अगर्चे अम्र मौजूद नहीं है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.55:– अगर ग़ायब पर दअ्वा हाज़िर पर दअ्वा के लिये शर्त हो तो यह हाज़िर उस ग़ायब के काइम मक़ाम नहीं होगा यानी यह फ़ैसला न हाज़िर पर है न ग़ायब पर जब कि ग़ायब का ज़रर (नुक़सान) हो और अगर ग़ायब का ज़रर न हो तो हाज़िर पर फ़ैसला होजायेगा मस्लन गुलाम ने मौला पर यह दअ्वा किया कि उसने कहा था कि फ़ुलाँ शख़्स अपनी बीवी को तलाक़ देदे तो तू आज़ाद है और उसने अपनी ज़ौजा को तलाक़ देदी और उसपर गवाह पेश किये तो यह गवाह उस वक़्त मक़बूल होंगे जब वह शौहर भी मौजूद हो क्योंकि इस फ़ैसले में उसका नुक़सान है और अगर औरत ने यह दअ्वा किया कि शौहर ने कहा था अगर ज़ैद मकान में दाख़िल हो तो तुझको तलाक़ है और चूँकि शर्त तलाक़ पाई गई लिहाज़ा मैं मुतल्लक़ा हूँ और ज़ैद की अदमे मौजूदगी में गवाहों से साबित करदिया तलाक़ होगई ज़ैद का मौजूद होना इस फ़ैसला में शर्त नहीं कि उस फ़ैसला से ज़ैद का नुक़सान नहीं। (दुरर, गुरर)

मसअ्ला.56:– एक शख़्स मरगया उसके ज़िम्मा इतना दैन है जो सारे तर्का (वह माल व जायदाद जो मय्यित छोड़ जाये) को मुस्तग़रक़ (घेरे हुए है यानी क़र्ज़ ज़्यादा और तर्का कम) है वुरसा (मय्यित के वारिस) को इख़्तियार नहीं है कि तर्का बेचकर दैन अदा करें बल्कि यह हक़ क़ाज़ी का है यह उस वक़्त है कि सब वुरसा अपने माल से दैन अदा करने पर मुत्तफ़िक़ न हों और अगर सबने इस अम्र पर इत्तिफ़ाक़ कर लिया कि जो कुछ दैन है हम अपने माल से अदा करेंगे और तर्का हम लेंगे तो ख़ुद वुरसा ऐसा कर सकते हैं और अगर क़र्ज़ ख़्वाह इस बात पर राज़ी हों कि तर्का को बैअ् करके वुरसा दैन अदा करें तो उनको बेचना जाइज़ है और उनकी रज़ा'मन्दी के बिग़ैर बैअ् करेंगे तो यह

बैअ़ नाफ़िज़ न होगी। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.57:– क़ाज़ी को यह हक़ हासिल है कि माले वक़्फ़ या माले ग़ायब या माले यतीम किसी तवंगर को जो अमीन है क़र्ज़ देदे मगर शर्त यह है कि उस माल की हिफ़ाज़त की उससे बेहतर दूसरी सूरत न हो और अगर मुज़ारबत पर कोई लेने वाला मौजूद हो या उस माल से कोई ऐसी जायदाद ख़रीदी जा सकती हो जिसकी कुछ आमदनी हों तो क़र्ज़ देने की इजाज़त नहीं और क़र्ज़ देने की सूरत में दस्तावेज़ लिखी जाये ताकि याद दाश्त रहे मगर क़ाज़ी अपनी ज़ात के लिये यह अमवाल बतौर क़र्ज़ नहीं ले सकता। (दुर्रेमुख़्तार, बह्र)

मसअ्ला.58:– बाप या वसी को यह हक़ हासिल नहीं कि नाबालिग़ बच्चे का माल क़र्ज़ के तौर पर देदें यहाँ तक कि ख़ुद क़ाज़ी भी अपने नाबालिग़ बच्चे का माल क़र्ज़ नहीं दे सकता अगर यह लोग क़र्ज़ देंगे ज़ामिन होंगे तल्फ़ होने की सूरत में तावान देना पढ़ेगा उसी तरह जिसने लुक़ता (पड़ा माल) पाया है यह भी उस माल को क़र्ज़ नहीं दे सकता। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.59:– मुलतक़ित (गिरी पड़ी चीज़ को उठाने वाला) ने अगर लुक़ता (गिरी पड़ी चीज़) का उतने ज़माना तक एअ्लान कर लिया जो उसके लिए मुक़र्रर है और मालिक का पता न चला अब अगर यह क़र्ज़ देना चाहे दे सकता है क्योंकि जब उस वक़्त उसको तसद्दुक़ करना जाइज़ है तो क़र्ज़ देना बदरजा औला जाइज़ होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.60:– बाप या वसी को अगर ऐसी ज़रूरत पेश आगई कि बिग़ैर क़र्ज़ दिये माल की हिफ़ाज़त ही न हो सकती हो मसलन आग लग गई है या लूटेरे माल लूट रहे हैं और ऐसे वक़्त कोई क़र्ज़ मांगता है अगर यह नहीं देगा तो माल तल्फ़ (ज़ाइअ़) होजायेगा ऐसी हालत में उन को भी क़र्ज़ देना जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार 341)

मसअ्ला.61:– बाप या वसी फ़ुज़ूल ख़र्च हैं अन्देशा है कि ना'बालिग़ के माल को फ़ुज़ूल ख़र्ची में उड़ा देंगे तो क़ाज़ी उनसे माल लेकर ऐसे के पास अमानत रखे कि ज़ाइअ़ होने का अन्देशा न हो(दुर्रेमुख़्तार)

इफ़ता के मसाइल

मसअ्ला.1:– फ़तवा देना हक़ीक़तन मुजतहिद का काम है कि साइल के सुवाल का जवाब किताब व सुन्नत व इजमाअ़ व क़यास से वही दे सकता है इफ़ता का दूसरा मर्तबा नक़्ल है यानी साहिबे मज़हब से जो बात साबित है साइल के जवाब में उसे बयान कर देना उसका काम है और यह हक़ीक़तन फ़तवा देना न हुआ बल्कि मुस्तफ़ती के लिए मुफ़्ती (मुजतहिद) का क़ौल नक़ल कर देना हुआ कि वह उस पर अ़मल करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– मुफ़्ती नाक़िल के लिए यह अम्र ज़रूरी है कि क़ौले मुजतहिद को मशहूर व मुतदाविल (राइज) व मोअ्तबर किताबों से अख़ज़ करे ग़ैर मशहूर कुतुब से नक़ल न करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– फ़ासिक़ मुफ़्ती हो सकता है या नहीं अकस्र मुतअख़्ख़िरीन की राय यह है कि नहीं हो सकता क्योंकि फ़तवा उमूरे दीन से है और फ़ासिक़ की बात दियानात (दीनी मुआमलात) में ना'मोअ्तबर फ़ासिक़ से फ़तवा पूछना ना'जाइज़ और उसके जवाब पर एअ्तिमाद न करे कि इल्मे शरीअ़त एक नूर है जो तक़वा करने वालों पर फ़ाइज़ होता है जो फ़िस्क़ व फुजूर में मुब्तला होता है उससे महरूम रहता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– एक शख़्स को देखा कि लोग उससे दीनी सुवालात करते हैं और वह जवाब देता है और लोग उसे अ़ज़मत की नज़र से देखते हैं अगर्चे उसको यह मा'लूम नहीं कि यह कौन हैं और कैसे हैं उस को फ़तवा पूछना जाइज़ है कि मुसलमानों का उनके साथ ऐसा बरताव करना उसकी दलील है कि यह क़ाबिले एअ्तिमाद शख़्स हैं। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.5:– मुफ़्ती को बेदार मग़्ज़ होशियार होना चाहिए ग़फ़लत बरतना उसके लिए दुरुस्त नहीं क्योंकि इस ज़माने में अकसर हीला साज़ी और तर्कीबों से वाक़िआत की सूरत बदलकर फ़तवा हासिल

कर लेते हैं और लोगों के सामने यह ज़ाहिर करते हैं कि फुलाँ मुफ़्ती ने मुझे फ़तवा देदिया है महज़ फ़तवा हाथ में होना ही अपनी कामयाबी तसव्वुर करते हैं बल्कि मुख़ालिफ़ पर उस की वजह से ग़ालिब आजाते हैं उसको कौन देखे कि वाक़िआ़ क्या था और उसने सुवाल में क्या ज़ाहिर किया। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.6:– मुफ़्ती पर यह भी लाज़िम है कि साइल से वाक़िआ़ की तह्क़ीक़ करले अपनी त़रफ़ से शुक़ूक़ (मुख़्तलिफ़ सूरतें) निकालकर साइल के सामने बयान न करे मस्लन यह सूरत है तो यह हुक्म है और यह है तो यह हुक्म है कि अकस्र ऐसा होता है कि जो सूरत साइल के मुवाफ़िक़ होती है उसे इख़्तियार कर लेता है और अगर गवाहों से स़ाबित करने की ज़रूरत होती है तो गवाह भी बना लेता है बल्कि बेहतर यह कि निज़ाई मुआ़मलात (वह मुआ़मलात जिनमें फ़रीक़ैन का झगड़ा हो) में उस वक़्त फ़तवा दे जब फ़रीक़ैन को तलब करे और हर एक का बयान दूसरे की मौजूदगी में सुने और जिसके साथ हक़ देखे उसे फ़तवा दे दूसरे को न दे। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.7:– इस्तिफ़ता का जवाब इशारे से भी दिया जा सकता है मसलन सर या हाथ से हाँ या नहीं का इशारा कर सकता है और क़ाज़ी किसी मुआ़मला के मुतअ़ल्लिक़ इशारे से फ़ैसला नहीं कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– क़ाज़ी भी लोगों को फ़तवा दे सकता है कचहरी में भी और बैरूने इज्लास भी मगर मुतख़ासेमैन (मुद्दई, मुद्दआ़ अ़लैह) को उनके दअ़्वे के मुतअ़ल्लिक़ फ़तवा नहीं देसकता दूसरे उमूर में उन्हें भी फ़तवा देसकता है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.9:– मुफ़्ती अगर ऊँचा सुनता है उसके पास तहरीरी सुवाल पेश हुआ उसने लिख कर जवाब दे दिया उस पर अ़मल दुरुस्त है मगर जो शख़्स कारे इफ़्ता (फ़तवा देने का काम) पर मुक़र्रर हो उसके पास देहाती और औ़रतें हर क़िस्म के लोग फ़तवे पूछने आते हैं उसकी समाअ़त ठीक होनी चाहिए क्योंकि हर शख़्स तहरीर पेश करे दुश्वार है और जब समाअ़त ठीक नहीं है तो बहुत मुम्किन है कि पूरी बात न सुने और फ़तवा देदे यह फ़तवा क़ाबिले एअ़्तिबार न होगा। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.10:– इमामे आज़म रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु का क़ौल सब पर मुक़द्दम है फिर क़ौले इमाम अबू यूसुफ़ फिर क़ौले इमाम मुहम्मद फिर इमाम ज़ुफ़र व ह़सन इब्ने ज़्याद का क़ौल अलबत्ता जहाँ असहाबे फ़तवा और असहाबे तरजीह ने इमामे आज़म के अ़लावा दूसरे क़ौल पर फ़तवा दिया हो या तरजीह दी हो तो जिस पर फ़तवा या तरजीह है उसके मुवाफ़िक़ फ़तवा दिया जाये(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– जो शख़्स फ़तवा देने का अहल हो उसके लिये फ़तवा देने में कोई ह़रज नहीं (आलमगीरी) बल्कि फ़तवा देना लोगों को दीन की बात बताना है और यह ख़ुद एक ज़रूरी चीज़ है क्योंकि कितमाने इल्म (इल्म का छुपाना) ह़राम है।

मसअ्ला.12:– ह़ाकिमे इस्लाम पर यह लाज़िम है कि उसका तजस्सुस करे कौन फ़तवा देने के क़ाबिल है और कौन नहीं है जो ना अहल हो उसे इस काम से रोकदे कि ऐसों के फ़तवों से त़रह त़रह की ख़राबियाँ वाक़ेअ़् होती हैं जिनका इस ज़माने में पूरे तौर पर मुशाहिदा होरहा है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– फ़तवे के शराइत़ से यह भी है कि साइलीन की तर्तीब का लिहाज़ रखे अमीर व ग़रीब का ख़याल न करे यह न हो कि कोई मालदार या हुकूमत का मुलाज़िम हो तो उसको पहले जवाब देदे और पेश्तर से जो ग़रीब लोग बैठे हुए हैं उन्हें बिठाये रखे बल्कि जो पहले आया उसे पहले जवाब दे और जो पीछे आया उसे पीछे कसे बाशद (कोई भी हो)। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– मुफ़्ती को यह चाहिए कि किताब को इ़ज़्ज़त व हुरमत के साथ ले किताब की बे हुरमती न करे और जो सुवाल उसके सामने पेश हो उसे ग़ौर से पढ़े पहले सुवाल को ख़ूब अच्छी त़रह समझले उसके बाद जवाब दे। (आलमगीरी) बारहा ऐसा भी होता है कि सुवाल में पेचीदगियाँ होती हैं जब तक मुस्तफ़ती से दरयाफ़्त न किया जाये समझ में नहीं आता ऐसे सुवाल को मुस्तफ़ती से समझने की ज़रूरत है उसकी ज़ाहिर इबारत पर हरगिज़ जवाब न दिया जाये और यह भी होता है

कि सुवाल में बाज़ ज़रूरी बातें मुस्तफ़्ती ज़िक्र नहीं करता अगर्चे उसका ज़िक्र न करना बद दियानती की बिना पर न हो बल्कि उसने अपने नज़्दीक उसको ज़रूरी नहीं समझा था मुफ़्ती पर लाज़िम है कि ऐसी ज़रूरी बातें साइल से दरयाफ़्त करले ताकि जवाब वाक़िआ के मुताबिक़ होसके और जो कुछ साइल ने बयान कर दिया. है मुफ़्ती उसको अपने जवाब में ज़ाहिर करदे ताकि यह शुबह न हो कि जवाब व सुवाल में मुताबक़त नहीं है।

मसअ्ला.15:– सुवाल का काग़ज़ हाथ में लिया जाये और जवाब लिखकर हाथ में दिया जाये उसे साइल की तरफ़ फेंका न जाये क्योंकि ऐसे काग़ज़ात में अकस्र अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल का नाम होता है क़ुर्आन की आयात होती हैं हदीसें होती हैं उनकी तअ्ज़ीम ज़रूरी है और यह चीज़ें न भी हों तो फ़तवा खुद तअ्ज़ीम की चीज़ है कि उसमें हुक्मे शरीअ़त तहरीर है हुक्मे शरअ् का एहतिराम लाज़िम है(आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– जवाब को ख़त्म करने के बाद वल्लाहु तआ़ला अअ्लम या उसके मिस्ल दूसरे अल्फ़ाज़ तहरीर कर देना चाहिए। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.17:– मुफ़्ती के लिए यह ज़रूरी है कि बुर्दबार खुश खुल्क़ हँसमुख हो नर्मी के साथ बात करे ग़ल्ती होजाये तो वापस ले अपनी ग़लती से रुजूअ् करने में कभी दरेग़ न करे यह न समझे कि मुझे लोग क्या कहेंगे कि ग़लत फ़तवा देकर रुजूअ् न करना हया से हो या तकब्बुर से बहर हाल हराम है। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.18:– ऐसे वक़्त में फ़तवा न दे जब मिज़ाज सहीह न हो मसलन गुस्सा या ग़म या खुशी की हालत में तबीअ़त ठीक न हो तो फ़तवा न दे। यूँही पाख़ाना, पेशाब की ज़रूरत के वक़्त फ़तवा न दे हाँ अगर उसे यक़ीन है कि उस हालत में भी सहीह जवाब होगा तो फ़तवा देना सही है(आलमगीरी)

मसअ्ला.19:– बेहतर यह है कि फ़तवे पर साइल से उजरत न ले मुफ़्त जवाब लिखे और वहाँ वालों ने अगर उसकी ज़रूरियात का लिहाज़ करके गुज़ारा के लाइक़ मुक़र्रर कर रखा हो कि आलिमे दीन दीन की ख़िदमत में मशग़ूल रहे और उसकी ज़रूरियात लोग अपने तौर पर पूरे करें यह दुरुस्त है। (बहरुर्राइक)

मसअ्ला.20:– मुफ़्ती को हदिया क़बूल करना और दअ्वते ख़ास में जाना जाइज़ है (आलमगीरी) यानी जब उसे इत्मीनान हो कि हदिया या दअ्वत की वजह से फ़तवे में किसी क़िस्म की रिआ़यत न होगी बल्कि हुक्मे शरअ् बिला कम व कास्त (कमी बेशी के बिग़ैर) ज़ाहिर करेगा।

मसअ्ला.21:– इमाम अबूयूसुफ़ रहिमहुल्लाहि तआ़ला से फ़तवा पूछा गया वह सीधे बैठ गये और चादर ओढ़कर इमामा बाँधकर फ़तवा दिया यानी इफ़्ता की अ़ज़मत का लिहाज़ किया जायेगा (आलमगीरी) इस ज़माने में कि इल्मे दीन की अ़ज़मत लोगों के दिलों में बहुत कम बाक़ी है अहले इल्म को इस क़िस्म की बातों की तरफ़ तवज्जोह की बहुत ज़रूरत है जिनसे इल्म की अ़ज़मत पैदा हो उस तरह हरगिज़ तवाज़ोअ् न की जाये कि इल्म व अहले इल्म की वक़अ़त में कमी पैदा हो। सब से बढ़कर जो चीज़ तजर्बा से साबित हुई वह एहतियाज है जब अहले दुनिया को यह मालूम हुआ कि उन को हमारी तरफ़ एहतियाज है वहीं वक़अ़त का ख़ातिमा है।

तहकीम का बयान

तहकीम के मअ्ना हकम बनाना यानी फ़रीक़ैन अपने मुआ़मला में किसी को इस लिये मुक़र्रर करें कि वह फ़ैसला करे और निज़ाअ् को दूर करदे उसी को पन्च और सालिस् भी कहते हैं।

मसअ्ला.1:– तहकीम का रुक्न ईजाब व क़बूल है यानी फ़रीक़ैन यह कहें कि हमने फ़ुलाँ को हकम बनाया और हकम क़बूल करे और अगर हकम ने क़बूल न किया फिर फ़ैसला करदिया यह फ़ैसला नाफ़िज़ न होगा हाँ अगर इन्कार के बाद फिर फ़रीक़ैन ने उससे कहा और अब क़बूल करलिया तो हकम होगया।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– हकम (सालिस) का फ़ैसला फ़रीक़ैन के हक़ में वैसा ही है जैसा कि क़ाज़ी का फ़ैसला

फ़र्क़ यह है कि क़ाज़ी के लिये चूँकि विलायते आम्मा (आम सरपरस्ती) है सबके हक़ में उस का फ़ैसला नातिक़ (लाज़िम) है और हकम का फ़ैसला एलावा फ़रीक़ैन के और उस शख़्स के जो उसके फ़ैसला पर राज़ी है दूसरों से तअ़ल्लुक़ नहीं रखता दूसरों के लिए बमन्ज़िला मुसलिह (सुलह करवाने वाले की तरह) के है गोया तरफ़ैन (यानी मुद्दई मुद्दआ अ़लैह) में सुलह करादी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– उसके लिए चन्द शराइत हैं। फ़रीक़ैन का आक़िल होना शर्त है। हुर्रियत व इस्लाम (आज़ाद और मुसलमान होना) शर्त नहीं यानी गुलाम और काफ़िर को भी किसी का हकम बना सकते हैं। हकम के लिए ज़रूरी है कि वक़्ते तहकीम व वक़्ते फ़ैसला वह अहले शहादत (गवाही देने का अहल हो) से हो फ़र्ज़ करो जिस वक़्त उसको हकम बनाया अहले शहादत से न था मस्लन गुलाम था और वक़्ते फ़ैसला आज़ाद होचुका है उसका फ़ैसला दुरुस्त नहीं या मुसलमानों ने काफ़िरों को हकम बनाया और वह फ़ैसला के वक़्त मुसलमान होचुका है उसका फ़ैसला नाफ़िज़ नहीं। (आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– ज़िम्मियों ने ज़िम्मी को हकम बनाया यह तहकीम सहीह है अगर हकम फ़ैसला के वक़्त मुसलमान होगया है जब भी फ़ैसला सहीह है और अगर फ़रीक़ैन में से कोई मुसलमान होगया और हकम काफ़िर है तो फ़ैसला सहीह नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– हकम ऐसे को बनायें जिसको तरफ़ैन जानते हों और अगर ऐसे को हकम बनाया जो मालूम न हो मस्लन जो शख़्स पहले मस्जिद में आये वह हकम है यह तहकीम ना'जाइज़ और उसका फ़ैसला करना भी दुरुस्त नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– जिसको पन्च बनाया है वह बीमार होगया या बेहोश होगया या सफ़र में चलागया फिर अच्छा होगया या होश में होगया या सफ़र से वापस हुआ और फ़ैसला किया यह फ़ैसला सहीह है और अगर अन्धा होगया फिर बीनाई वापस हुई उसका फ़ैसला जाइज़ नहीं और अगर मुरतद होगया फिर इस्लाम लाया उसका फ़ैसला भी ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– हकम को फ़रीक़ैन में से किसी ने वकील बिलखुसूमत (मुक़दमे की पैरवी का वकील) किया और उसने क़बूल करलिया हकम न रहा यूँहीं जिस चीज़ में झगड़ा था अगर हकम ने या उसके बेटे ने या किसी ऐसे शख़्स ने ख़रीदली जिसके हक़ में हकम की शहादत दुरुस्त नहीं है तो अब वह हकम न रहा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– हुदूद व क़िसास और आक़िला पर दियत के मुतअ़ल्लिक़ हकम बनाना दुरुस्त नहीं है और इन उमूर के मुतअ़ल्लिक़ हकम का फ़ैसला भी दुरुस्त नहीं और उनके एलावा जितने हक़ूक़ुल' इबाद हैं जिनमें मुसालहत हो सकती है सब में तहकीम हो सकती है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– हकम ने जो कुछ फ़ैसला किया ख़्वाह मुद्दआ अ़लैहि के इक़रार की बिना पर हो मुद्दई के गवाह पेश करने पर या मुद्दआ अ़लैह ने क़सम से इन्कार किया इस बिना पर उसका फ़ैसला फ़रीक़ैन पर नाफ़िज़ है उन दोनों पर लाज़िम है उससे इन्कार नहीं कर सकते बशर्ते कि फ़रीक़ैन तहकीम (हकम बनाने) पर वक़्ते फ़ैसला तक क़ाइम हों और अगर फ़ैसले से क़ब्ल दोनों में से एक ने भी नाराज़ी ज़ाहिर की तहकीम को तोड़ दिया तो फ़ैसला नाफ़िज़ न होगा कि वह अब हकम ही न रहा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– दो शरीकों में से एक ने और ग़रीम (क़र्ज़ख़्वाह) ने किसी को हकम बनाया उसने फ़ैसला कर दिया वह फ़ैसला दूसरे शरीक पर भी लाज़िम है अगर्चे दूसरे शरीक की अ़दम मौजूदगी में फ़ैसला हुआ कि हकम का फ़ैसला बमन्ज़िला–ए–सुलह है और सुलह का हुक्म यह है कि एक शरीक ने जो सुलह की वह दूसरे पर लाज़िम है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– बाइअ़ (बेचने वाला) व मुश्तरी (ख़रीदार) के माबैन मबीअ़ (बेची जाने वाली चीज़) के ऐब में इख़्तिलाफ़ हुआ उन दोनों ने किसी को हकम बनाया उसने मबीअ़ वापस करने का हुक्म दिया तो बाइअ़ को यह इख़्तियार नहीं कि अपने बाइअ़ यानी बाइअ़ अव्वल को वापस दे हाँ अगर बाइअ़ अव्वल व सानी व मुश्तरी तीनों की रज़ा'मन्दी से हकम हुआ तो बाइअ़ अव्वल पर मबीअ़ वापस होगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:— ह़कम ने फ़ैसले के वक़्त यह कहा कि तूने मेरे सामने मुद्दई के ह़क़ का इक़रार किया या मेरे नज़्दीक गवाहाने आ़दिल से मुद्दई का ह़क़ साबित हुआ मैंने इस बिना पर यह फ़ैसला दिया अब मुद्दआ़ अ़लैह यह कहता है कि मैंने इक़रार नहीं किया था या वह गवाह आ़दिल न थे तो यह इन्कार ना'मोअ्तबर है वह फ़ैसला लाज़िम होजायेगा और अगर ह़कम ने बाद फ़ैसला करने के यह ख़बर दी कि मैंने उस मुआ़मला में यह फ़ैसला किया था यह ख़बर उसकी ना'मोअ्तबर है कि अब वह ह़कम नहीं है। (दुरर वग़ैरा)

मसअ्ला.13:— अपने वालिदैन और औलाद और ज़ौजा के मुवाफ़िक़ फ़ैसला करेगा यह नाफ़िज़ न होगा और उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला करेगा वह नाफ़िज़ होगा क्योंकि उनके लिये वह अहले शहदात से नहीं उनके ख़िलाफ़ शहादत का अहल है जिस त़रह़ क़ाज़ी उनके मुवाफ़िक़ फ़ैसला करेगा नाफ़िज़ न होगा मुख़ालिफ़ करेगा तो नाफ़िज़ होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.14:— फ़रीक़ैन ने दो शख़्सों को पन्च मुक़र्रर किया तो फ़ैसले में दोनों का इकट्ठा होना ज़रूरी है फ़क़त एक का फ़ैसला कर देना नाकाफ़ी है और यह भी ज़रूरी है कि दोनों का एक अम्र पर इत्तिफ़ाक़ हुआ अगर मुख़्तलिफ़ रायें हुईं तो कोई राये पाबन्दी के क़ाबिल नहीं मस्लन शौहर ने औ़रत से कहा तू मुझ पर ह़राम है और उस लफ़्ज़ से त़लाक़ की नियत की उन दोनों ने दो शख़्सों को ह़कम बनाया या एक ने त़लाक़े बाइन का फ़ैसला दिया दूसरे ने तीन त़लाक़ का हुक्म दिया यह फ़ैसला जाइज़ न हुआ कि दोनों का एक अम्र पर इत्तिफ़ाक़ न हुआ। (दुरर, दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.15:— फ़रीक़ैन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हुए कि हमारे माबैन फ़ुलाँ या फ़ुलाँ फ़ैसला करदे उनमें से जो एक फ़ैसला कर देगा स़ह़ीह़ होगा मगर एक के पास उन्होंने मुआ़मला पेश कर दिया तो वही ह़कम होने के लिए मुतअ़य्यन होगया दूसरा ह़कम न रहा। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.16:— ह़कम ने जो फ़ैसला किया उस का मुराफ़आ़ (अपील) क़ाज़ी के पास हुआ अगर यह फ़ैसला क़ाज़ी के मज़हब के मुवाफ़िक़ हो तो उसे नाफ़िज़ करदे और मज़हब के ख़िलाफ़ हो तो बात़िल करदे और क़ाज़ी का फ़ैसला अगर दूसरे क़ाज़ी के पास पेश हुआ तो अगर्चे उसके मज़हब के ख़िलाफ़ है इख़्तिलाफ़ी मसाइल में क़ाज़ी अव्वल के फ़ैसले को बात़िल नहीं कर सकता जब कि क़ाज़ी अव्वल ने अपने मज़हब के मुवाफ़िक़ फ़ैसला किया हो यूँहीं क़ाज़ी ने अगर ह़कम के फ़ैसला का इमज़ा (नाफ़िज़) कर दिया तो अब दूसरा क़ाज़ी उस फ़ैसले को नहीं तोड़ सकता कि यह तन्हा ह़कम का फ़ैसला नहीं है बल्कि क़ाज़ी का भी है। (दुरर, दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.17:— फ़रीक़ैन ने ह़कम बनाया फिर फ़ैसला करने के क़ब्ल क़ाज़ी ने उसके ह़कम होने को जाइज़ कर दिया और ह़कम ने क़ाज़ी की राय के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया यह फ़ैसला जाइज़ नहीं जब कि क़ाज़ी को अपना क़ाइम मक़ाम बनाने की इजाज़त न हो और अगर उसे नाइब व ख़लीफ़ा मुक़र्रर करने की इजाज़त है और उसने ह़कम होने को जाइज़ रखा तो अगर्चे ह़कम का फ़ैसला राय क़ाज़ी के ख़िलाफ़ हो क़ाज़ी उस फ़ैसला को नहीं तोड़ सकता। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.18:— एक को ह़कम बनाया उसने फ़ैसला करदिया फिर फ़रीक़ैन ने दूसरे को ह़कम बनाया अगर उसके नज़्दीक पहले का फ़ैसला स़ह़ीह़ है उसी को नाफ़िज़ करदे और अगर उसकी राय के ख़िलाफ़ है बात़िल करदे और एक ने एक फ़ैसला किया दूसरे ह़कम ने दूसरा फ़ैसला किया और यह दोनों फ़ैसले क़ाज़ी के सामने पेश हुए उनमें जो फ़ैसला क़ाज़ी की राये के मुवाफ़िक़ हुआ उसे नाफ़िज़ कर दे। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.19:— ह़कम को यह इख़्तियार नहीं कि दूसरे को ह़कम बनाये और उससे फ़ैसला कराये और अगर दूसरे को ह़कम बनादिया और उसने फ़ैसला कर दिया और फ़रीक़ैन उसके फ़ैसले पर राज़ी होगये तो ख़ैर वरना बिग़ैर रज़ा'मन्दी फ़रीक़ैन उसका फ़ैसला कोई चीज़ नहीं और ह़कम अव्वल चाहे कि उसके फ़ैसला को नाफ़िज़ करदे यह नहीं कर सकता। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.20:– शख़्से सालिस ने फ़रीक़ैन में ख़ुद ही फ़ैसला करदिया उन्होंने उसको ह़कम नहीं बनाया है मगर फ़रीक़ैन उसके फ़ैसले पर राज़ी होगये तो यह फ़ैसला स़ही़ह होगया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.21:– फ़रीक़ैन में एक ने अपने आदमी को ह़कम बनाया दूसरे ने अपने आदमी को और हर एक ह़कम ने अपने अपने फ़रीक़ के मुवाफ़िक़ फ़ैसला किया तो कोई फ़ैसला स़ही़ह नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.22:– ज़माना–ए–तहकीम में फ़रीक़ैन में से कोई भी ह़कम के पास हदया पेश करे या उस की ख़ास दअ्वत करे ह़कम को चाहिए कि क़बूल न करे। (दुर्रे मुख़्तार)

मसाइले मुतफ़र्रिक़ा

मसअ्ला.1:– दो मन्ज़िला मकान दो शख़्सों के माबैन मुश्तरक है नीचे की मन्ज़िल एक की है बाला'ख़ाना दूसरे का है हर एक अपने हिस़्से में ऐसा तस़र्रुफ़ करने से रोका जायेगा जिसका ज़रर दूसरे तक पहुँचता हो मस्लन नीचे वाला दीवार में मेख़ गाड़ना चाहता है या ताक़ बनाना चाहता है या बाला ख़ाना ऊपर जदीद इमारत बनाना चाहता है या पर्दा की दीवारों पर कड़ियाँ रखकर छत पाटना चाहता है या जदीद पाख़ाना बनवाना चाहता है यह सब तस़र्रुफ़ात बिग़ैर मर्ज़ी दूसरे के नहीं कर सकता उसकी रज़ा'मन्दी से कर सकता है और अगर ऐसा तस़र्रुफ़ है जिससे ज़रर का अन्देशा नहीं है मस्लन छोटी कील गाड़ना कि उससे दीवार में क्या कमज़ोरी पैदा हो सकती है उसकी मुमानअ़त नहीं और अगर मशकूक हालत है मालूम नहीं कि नुक़स़ान पहुँचेगा या नहीं यह तस़र्रुफ़ भी बिग़ैर रज़ा'मन्दी नहीं कर सकता। (हिदाया, फ़त्ह, दुर्रेमुख़्तार वग़ैरहा)

मसअ्ला.2:– ऊपर की इमारत गिर चुकी है सिर्फ़ नीचे की मन्ज़िल बाक़ी है उसके मालिक ने अपनी इमारत क़स्दन गिरादी कि बाला ख़ाना वाला भी बनवाने से मजबूर होगया नीचे वाले को मजबूर किया जायेगा कि वह अपनी इमारत बनवाये ताकि बाला ख़ाना वाला उसके ऊपर इमारत तैयार करले और अगर उसने नहीं गिराई है बल्कि अपने आप इमारत गिरगई तो बनवाने पर मजबूर नहीं किया जायेगा कि उसने उसको नुक़स़ान नहीं पहुँचाया है बल्कि क़ुदरती तौर पर उसे नुक़स़ान पहुँच गया फ़िर अगर बाला ख़ाना वाला यह चाहता है कि नीचे की मन्ज़िल बनाकर अपनी इमारत ऊपर बनाये तो नीचे वाले से इजाज़त हासिल करले या क़ाज़ी से इजाज़त लेकर बनाये और नीचे की तामीर में जो कुछ स़र्फ़ा होगा वह मालिके मकान से वसूल कर सकता है और अगर न उससे इजाज़त ली न क़ाज़ी से हासिल की ख़ुद ही बना डाली तो स़र्फ़ा नहीं मिलेगा बल्कि इमारत की बनाने के वक़्त जो क़ीमत होगी वह वसूल कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला.3:– मकान एक मन्ज़िला दो शख़्सों में मुश्तरक था पूरा मकान गिरगया एक शरीक ने बिग़ैर इजाज़त दूसरे की उस मकान को बनवाया तो यह बनवाना महज़ तबर्रोअ् (अच्छा काम) है शरीक से कोई मुआवज़ा नहीं लेसकता क्योंकि यह शख़्स पूरा मकान बनवाने पर मजबूर नहीं। हो सकता है कि ज़मीन तक़सीम कराके सिर्फ़ अपने हिस़्से की तामीर कराये हाँ अगर यह मकाने मुश्तरक (शिरकत का मकान) इतना छोटा है कि तक़सीम के बाद क़ाबिले इन्तिफ़ाअ् (फ़ायदे के लायक़) बाक़ी नहीं रहता तो यह शख़्स पूरा मकान बनवाने पर मजबूर है और शरीक से बक़द्र उसके हिस़्से के इमारत की क़ीमत ले सकता है यूँहीं अगर मकाने मुश्तरक का एक हिस़्सा गिरगया है और एक शरीक ने तामीर कराई तो दूसरे से उसके हिस़्से के लाइक़ क़ीमत वसूल कर सकता है जबकि यह मकान छोटा हो और अगर बड़ा मकान हो जो क़ाबिले क़िस्मत (बंटने के लायक़) है और कुछ हिस़्सा गिरगया है तो तक़सीम कराले अगर मुन्हदिम हिस़्सा उसके हिस़्से में पड़े दुरुस्त कराले और शरीक के हिस़्से में पड़े तो वह जो चाहे करे। (रद्दुलमुहतार)

क़ाइदा–ए–कुल्लिया:– जो शख़्स अपने शरीक को काम करने पर मजबूर कर सकता हो वह बिग़ैर इजाज़ते शरीक ख़ुद ही अगर उस काम को तन्हा कर लेगा मुतबर्रअ् (भलाई का काम करने वाला) क़रार पायेगा शरीक से मुआवज़ा नहीं लेसकता मस्लन नहर पटगई है या कश्ती ऐबदार होगई है

शरीक दुरुस्ती पर मजबूर है और अगर वह ख़ुद दुरुस्त नहीं कराता है क़ाज़ी के यहाँ दरख़्वास्त देकर मजबूर कराये और अगर शरीक को मजबूर नहीं कर सकता और तन्हा एक शख़्स करेगा तो मुआवज़ा ले सकता है मस्लन बाला ख़ाना वाला नीचे वाले को तामीर पर मजबूर नहीं कर सकता यह बिग़ैर उसके हुक्म के बनायेगा जब भी मुआवज़ा पायेगा उसकी दूसरी मिसाल यह है कि जानवर दो शख़्सों में मुश्तरक है एक शरीक ने बिग़ैर इजाज़त दूसरे के उसे खिलाया मुआवज़ा नहीं पायेगा क्योंकि होसकता है कि क़ज़ी के पास मुआमला पेश करे और दूसरे को मजबूर करे और ज़राअते मुश्तरक में क़ाज़ी शरीक को मजबूर नहीं कर सकता उस में मुआवज़ा पायेगा (रद्दुलमुहतार वग़ैरा)

मसअ्ला.4:— बाला ख़ाना वाले ने जब नीचे की इमारत बनवाली तो नीचे वाले को उसमें सुकूनत से रोक सकता है जब तक जो रक़म वाजिब है अदा न कर ले उसी तरह एक दीवार मुश्तरक है जिस पर दो शख़्सों की कड़ियाँ हैं वह गिर गई एक ने बनवाई जब तक दूसरा उसका मुआवज़ा अदा न करले उसपर कड़ियाँ रखने से रोका जा सकता है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.5:— एक दीवार पर दो शख़्सों के छप्पर या खपरैलें हैं दीवार ख़राब होगई है एक शख़्स उसको दुरुस्त कराना चाहता है दूसरा इन्कार करता है पहला शख़्स दूसरे से कहदे कि तुम बांस बल्ली वग़ैरा लगाकर अपने छप्पर या खपरैल को रोकलो वरना में दीवार गिराऊँगा तुम्हारा नुक़सान होगा और इस पर लोगों को गवाह करले अगर उसने इन्तिज़ाम करलिया तो ठीक वर्ना यह दीवार गिरादे दूसरे का जो कुछ नुक़सान होगा उसका तावान उसके ज़िम्मे नहीं क्योंकि वह ख़ुद अपने नुक़सान के लिये तैयार हुआ है उस का क़ुसूर नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.6:— एक लम्बा रास्ता है जिस में से एक कूचा—ए—ग़ैर नाफ़िज़ा निकला है यानी कुछ दूर के बाद यह गली बन्द होगई है जिन लोगों के मकानात के दरवाज़े पहले रास्ते में हैं उनको यह हक़ हासिल नहीं कि कूचा—ए—ग़ैर नाफ़िज़ा में दरवाज़े निकालें क्योंकि कूचा—ए—ग़ैर नाफ़िज़ा में उन लोगों के लिए आमद व रफ़्त का हक़ नहीं है हाँ अगर हवा आने जाने के लिये खिड़की बनाना चाहते हैं या रौशन्दान खोलना चाहते हैं तो उससे रोके नहीं जा सकते कि उसमें कूचा—ए—सरबस्ता वालों का कोई नुक़सान नहीं है और कूचा—ए—सरबस्ता वाले अगर पहले रास्ता में अपना दरवाज़ा निकालें तो मनअ् नहीं किया जा सकता क्योंकि वह रास्ता उन लोगों के लिये मख़सूस नहीं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:— अगर उस लम्बे रास्ते में एक शाख़ मुस्तदीर (गोल गली) निकली हो जो निस्फ़ दाइरा या कम हो तो जिन लोगों के दरवाज़े पहले रास्ते में हों वह उस कूचा—ए—मुस्तदीरा में भी अपना दरवाज़ा निकाल सकते हैं कि यह मैदान मुश्तरक है सब के लिये उसमें हक़े आसाइश है। (हिदाया)

मसअ्ला.8:— हर शख़्स अपनी मिल्क में जो तसर्रुफ़ चाहे कर सकता है दूसरे को मनअ् करने का इख़्तियार नहीं मगर जब कि ऐसा तसर्रुफ़ करे कि उसकी वजह से पड़ोस वाले को खुला हुआ ज़रर (नुक़सान) पहुँचे तो यह अपने तसर्रुफ़ से रोक दिया जायेगा मस्लन उसके तसर्रुफ़ करने से पड़ोस वाले की दीवार गिर जायेगी या पड़ोसी का मकान क़ाबिले इन्तिफ़ाअ् (फ़ायदा उठाने लायक़) न रहेगा मस्लन अपनी ज़मीन में दीवार उठा रहा है जिससे दूसरे का रौशन्दान बन्द होजायेगा उसमें बिल्कुल अंधेरा होजायेगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.9:— कोई शख़्स अपने मकान में तन्नूर गाड़ना चाहता है जिसमें हर वक़्त रोटी पकेगी जिस तरह दुकानों में होता है या उजरत पर आटा पीसने की चक्की लगाना चाहता है या धोबी का पाटा रखवाना चाहता है जिसपर कपड़े धुलते रहेंगे उन चीज़ों से मनअ् किया जासकता है कि तन्नूर की वजह से हर वक़्त धुवाँ आयेगा जो परेशान करेगा चक्की और कपड़े धोने की धमक से पड़ोसी की इमारत कमज़ोर होगी इस लिये उनसे मालिक मकान को मनअ् कर सकता है (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:— बाला ख़ाना पर खिड़की बनाता है जिससे पड़ोस वाले के मकान की बे'पर्दगी होगी उससे रोका जायेगा (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार) यूँहीं छत पर चढ़ने से मनअ् किया जायेगा जब कि उसकी

वजह से बेपर्दगी होती हो।

मसअ्ला.11:– दो मकानों के दरम्यान में पर्दा की दीवार थी गिर गई जिसकी दीवार है वह बनाये और मुश्तरक हो तो दोनों बनवायें ताकि बे'पर्दगी दूर हो।

मसअ्ला.12:– एक शख़्स ने दूसरे पर दअ्वा किया कि फुलाँ वक़्त उसने यह मकान मुझे हिबा कर दिया था और क़ब्ज़ा भी देदिया मुद्दई से हिबा के गवाह मांगे गये तो कहने लगा उसने हिबा से इन्कार कर दिया था लिहाज़ा मैंने यह मकान उससे ख़रीद लिया और ख़रीदने के गवाह पेश किये अगर यह गवाह ख़रीदने का वक़्त हिबा के बाद का बताते हैं मक़बूल हैं ओर पहले का बतायें तो मक़बूल नहीं कि तनाकुज़ (टकराव) पैदा होगया और हिबा और बैअ् दोनों के वक़्त मज़कूर न हों या एक के लिए वक़्त हो दूसरे के लिए वक़्त न हो जब भी गवाह मक़बूल हैं कि दोनों क़ौलों में तौफ़ीक़ मुम्किन है (मुवाफ़क़त होना मुम्किन है)। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला.13:– मकान के मुतअ़ल्लिक़ दअ्वा किया कि यह मुझपर वक़्फ़ है फिर यह कहता है मेरा है या पहले दूसरे के लिये दअ्वा किया फिर अपने ऊपर वक़्फ़ बताया पहले अपने लिये दअ्वा किया फिर दूसरे के लिये यह मक़बूल है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.14:– एक शख़्स ने दूसरे से कहा मेरे ज़िम्मे तुम्हारे हज़ार रुपये हैं उसने कहा मेरा तुम पर कुछ नहीं है फिर उसी जगह उसने कहा हाँ मेरे तुम्हारे ज़िम्मे हज़ार रुपये हैं तो अब कुछ नहीं ले सकता कि उसका इक़रार उसके रद करने से रद होगया अब यह उसका दअ्वा है गवाह से साबित करे या वह शख़्स उसकी तस्दीक़ करे तो ले सकता है वरना नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– एक शख़्स ने दूसरे पर हज़ार रुपये का दअ्वा किया मुद्दआ अलैह ने इन्कार किया कि मेरे ज़िम्मे तुम्हारा कुछ नहीं है या यह कहा कि मेरे ज़िम्मे कभी कुछ न था और मुद्दई ने उसके ज़िम्मे हज़ार रुपये होना गवाहों से साबित किया और मुद्दआ अलैह ने गवाहों से साबित किया कि मैं अदा कर चुका हूँ या मुद्दई मुआफ़ कर चुका है मुद्दआ अलैह के गवाह मक़बूल हैं और अगर मुद्दआ अलैह ने यह कहा कि मेरे ज़िम्मे कुछ न था और मैं तुम्हें पहचानता भी नहीं उसके बाद अदा या अबरा (मुआफ़ करने) के गवाह क़ाइम किये गवाह मक़बूल नहीं। (हिदाया)

मसअ्ला.16:– चार सौ रुपये का दअ्वा किया मुद्दआ अलैह ने इन्कार कर दिया मुद्दई ने गवाहों से साबित किया उसके बाद मुद्दई ने यह इक़रार किया कि मुद्दआ अलैह के उसके ज़िम्मे तीन सौ हैं इस इक़रार की वजह से मुद्दआ अलैह से तीन सौ साक़ित न होंगे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– दअ्वा किया कि तुमने फुलाँ चीज़ मेरे हाथ बैअ् की है मुद्दआ'अलैह मुन्किर है मुद्दई ने गवाहों से बैअ् साबित करदी और क़ाज़ी ने चीज़ दिलादी उसके बाद मुद्दई ने दअ्वा किया कि उस चीज़ में ऐब है लिहाज़ा वापस करदी जाये बाइअ् जवाब में कहता है कि मैं हर ऐब से दस्त'बर्दार होचुका था और उसको गवाहों से साबित करना चाहता है बाइअ् के गवाह ना'मक़बूल हैं(आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– एक शख़्स दस्तावेज़ (तहरीरी सुबूत) पेश करता है कि उसकी रू से तुम ने फुलाँ चीज़ का मेरे लिये इक़रार किया है वह कहता है हाँ मैंने इक़रार किया था मगर तुमने उसको रद कर दिया मुक़िर'लहू (जिस के लिये इक़रार किया था) को हलफ़ दिया जायेगा अगर वह हलफ़ से यह कहदे कि मैंने रद नहीं किया था वह चीज़ मुक़िर (इक़रार करने वाले) से ले सकता है यूँहीं एक शख़्स ने दअ्वा किया कि तुमने चीज़ मेरे हाथ बैअ् की है बाइअ् कहता है कि हाँ बैअ् की थी मगर तुमने इक़ाला कर लिया मुद्दई पर हलफ़ दिया जायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.19:– काफ़िर ज़िम्मी मरगया उसकी औरत मीरास् का दअ्वा करती है और यह औरत उस वक़्त मुसलमान है कहती है मैं उसके मरने के बाद मुसलमान हुई हूँ और वुरसा यह कहते हैं कि उसके मरने से पहले मुसलमान हो चुकी थी लिहाज़ा मीरास् की हक़दार नहीं है वुरसा का क़ौल मोअ्तबर है और मुसलमान मरगया उसकी औरत काफ़िरा थी वह कहती है मैं शौहर की ज़िन्दगी में

मुसलमान हो चुकी हूँ और वुरसा कहते हैं मरने के बाद मुसलमान हुई है उस सूरत में भी वुरसा का क़ौल मोअ्तबर है। (हिदाया)

मसअ्ला.20:– मय्यित के कुफ़्र व इस्लाम में इख़्तिलाफ़ है कि वह मुसलमान हुआ था या काफ़िर ही था जो उसके इस्लाम का मुद्दई है उसका क़ौल मोतबर है मसलन एक शख़्स मरगया जिसके वालिदैन काफ़िर हैं और औलाद मुसलमान है वालिदैन यह कहते हैं कि हमारा बेटा काफ़िर था और काफ़िर मरा और उसकी औलाद यह कहती है कि हमारा बाप मुसलमान होचुका था इस्लाम पर मरा औलाद का क़ौल मोतबर है यही उस के वारिस क़रार पायेंगे माँ बाप को तर्का नहीं मिलेगा(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.21:– पन चक्की ठेके पर देदी है मालिक उजरत का मुतालबा करता है ठेकादार यह कहता है कि नहर का पानी ख़ुश्क होगया था उस वजह से चक्की चल न सकी और मेरे ज़िम्मे उजरत वाजिब नहीं मालिक उससे इन्कार करता है और कहता है पानी जारी था चक्की बन्द रहने की कोई वजह नहीं और गवाह किसी के पास नहीं अगर उस वक़्त पानी जारी है मालिक का क़ौल मोअ्तबर है और जारी नहीं है तो ठेकेदार का क़ौल मोअ्तबर। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.22:– एक शख़्स ने अपनी चीज़ किसी के पास अमानत रखी थी वह मरगया अमीन एक शख़्स की निस्बत यह कहता है यह शख़्स उस अमानत रखने वाले का बेटा है उसके सिवा उसका कोई वारिस नहीं हुक्म दिया जायेगा कि अमानत उसे देदे। उसके बाद वह अमीन एक दूसरे शख़्स की निस्बत यह इक़रार करता है कि यह उस मय्यित का बेटा है मगर वह पहला शख़्स इन्कार करता है तो यह शख़्स उस अमानत में से कुछ नहीं ले सकता हाँ अगर पहले शख़्स को अमीन ने बिग़ैर क़ज़ा–ए–क़ाज़ी (क़ाज़ी के फ़ैसले के बिग़ैर) अमानत देदी है तो दूसरे के हिस्से की क़द्र (हिस्से के बराबर) अमीन को अपने पास से देना पड़ेगा मदयून (मक़रूज़) ने यह इक़रार किया कि यह मेरे दाइन (क़र्ज़ देने वाला) का बेटा है उसके सिवा उस का कोई वारिस् नहीं तो दैन उसे देदेना ज़रूरी है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.23:– सूरते मज़कूरा में अमीन ने यह इक़रार किया कि यह शख़्स उसका भाई है और उसके सिवा मय्यित का कोई वारिस नहीं तो क़ाज़ी फ़ौरन देने का हुक्म न देगा बल्कि इन्तिज़ार करेगा कि शायद उसका कोई बेटा हो। जो शख़्स बहर हाल वारिस होता है जैसे बेटी, बाप, माँ यह सब बेटे के हुक्म में हैं और जो कभी वारिस् होता है, कभी नहीं वह भाई के हुक्म में है।(रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.24:– अमीन ने इक़रार किया कि जिसने अमानत रखी है यह उसका वकील बिलक़ब्ज़ है या वसी है या उसने उससे उस चीज़ को ख़रीद लिया है तो उन सब को देने का हुक्म नहीं दिया जायेगा और अगर मदयून ने किसी शख़्स की निस्बत यह इक़रार किया कि यह उसका वकील बिलक़ब्ज (किसी चीज़ पर क़ब्ज़ा करने का वकील) है तो देदेने का हुक्म दिया जायेगा। आरियत और ऐन मग़सूबा (जिस चीज़ पर नाजायज़ क़ब्ज़ा किया गया हो) अमानत के हुक्म में हैं जहाँ अमानत देदेना जाइज़ उनका भी देदेना जाइज़ और जहाँ वह नाजाइज़ यह भी नाजाइज़। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.25:– मय्यित का तर्का वारिसों या क़र्ज़ ख़्वाहों में तक़सीम किया गया अगर वुरसा या क़र्ज़ ख़्वाहों का सुबूत गवाहों से हुआ हो तो उन लोगों से इस बात का ज़ामिन नहीं लिया जायेगा कि अगर कोई वारिस् या दाइन साबित हुआ तो तुमको वापस करना होगा और अगर वारिस या दैन इक़रार से साबित हो तो कफ़ील (ज़ामिन) लिया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.26:– एक शख़्स ने यह दअ्वा किया कि यह मकान मेरा और मेरे भाई का है जो हमको मीरास् में मिला है और उसका भाई ग़ायब है उस मौजूद ने गवाहों से साबित कर दिया आधा मकान उसको देदिया जायेगा और आधा क़ाबिज़ के हाथ में छोड़ दिया जायेगा जब वह ग़ायब आ जायेगा तो उसका हिस्सा उसे मिल जायेगा न उसे गवाह क़ाइम करने की ज़रूरत पड़ेगी न जदीद फ़ैसले की वह पहला ही फ़ैसला उसके हक़ में भी फ़ैसला है। जायदादे मन्क़ूला (वह जायदाद जो एक जगह से दूसरी जगह लेजायी जासकती हो) का भी यहीं हुक्म है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला.27:– किसी शख़्स ने यह कहा कि मेरा माल स़दक़ा है या जो कुछ मेरी मिल्क में है स़दक़ा है तो जो अम्वाल अज़ क़बीले ज़कात हैं यानी सोना, चाँदी साइमा, अमवाले तिजारत यह सब मसाकीन पर तस़द्दुक़ (स़दक़ा करे) करे और अगर उसके पास अमवाले ज़कात के सिवा कोई दूसरा माल ही न हो तो उसमें से बक़द्र कुव्वत रोकले बाक़ी स़दक़ा करदे फिर जब कुछ माल हाथ में आजाये तो जितना रोक लिया था उतना स़दक़ा करदे। (हिदाया, वग़ैरहा)

मसअ्ला.28:– किसी शख़्स को वस़ी बनाया और उसे ख़बर न हुई यह ईस़ा (वस़ी मुक़र्रर करना) स़हीह़ है और वस़ी ने अगर तस़र्रुफ़ कर लिया यह तस़र्रुफ़ स़हीह़ है और किसी को वकील बनाया और वकील को इल्म न हुआ यह तौवकील (वकील बनाना) स़हीह़ नहीं और उसी ला इल्मी में वकील ने तस़र्रुफ़ कर डाला यह तस़र्रुफ़ भी स़हीह़ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.29:– क़ाज़ी या अमीने क़ाज़ी ने किसी की चीज़ क़र्ज़ख़्वाह के दैन अदा करने के लिये बैअ् करदी और स़मन पर क़ब्ज़ा कर लिया मगर यह स़मन क़ाज़ी या उसके अमीन के पास से ज़ाइअ् होगया और वह चीज़ जो बैअ् की गई थी उसका कोई ह़क़दार पैदा होगया या मुश्तरी को देने से पहले वह चीज़ ज़ाइअ् होगई तो उस सूरत में न क़ाज़ी पर तावान है न उसके अमीन पर बल्कि मुश्तरी जो स़मन अदा कर चुका है उन क़र्ज़ख़्वाहों से उसका तावान वस़ूल करेगा और अगर वस़ी ने दैन अदा करने के लिए मय्यित का माल बेचा है और यही सूरत वाक़ेअ् हुई तो मुश्तरी वस़ी से वस़ूल करेगा अगर्चे वस़ी ने क़ाज़ी के हुक्म से बेचा हो फिर वस़ी दाइन से वस़ूल करेगा उसके बाद अगर मय्यित के किसी माल का पता चले तो दाइन उससे अपना दैन वस़ूल करे वरना गया(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.30:– किसी ने एक सुलुस माल (एक तिहाई माल) की फ़ुक़रा के लिए वस़ीयत की क़ाज़ी ने सुलुस माल तर्का में से निकाल लिया मगर अभी फ़क़ीरों को दिया न था कि ज़ाइअ् होगया तो फ़ुक़रा का माल हलाक हुआ यानी बाक़ी दो तिहाई में से फिर सुलुस नहीं निकाला जायेगा बल्कि यह दो तिहाईयाँ वुरसा को दी जायेंगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.31:– क़ाज़ी आ़लिम व आ़दिल अगर हुक्म दे कि मैंने उस शख़्स़ के रज्म (पत्थर से जान से मारने को हुक्म) या हाथ काटने का हुक्म देदिया है या कोड़े मारने का हुक्म दिया है तो यह सज़ा क़ाइम कर, तो अगर्चे सुबूत उसके सामने नहीं गुज़रा है मगर उसको करना दुरुस्त है और अगर क़ाज़ी आ़दिल है मगर आ़लिम नहीं तो उससे उस सज़ा के शराइत़ दरयाफ़्त करेगा अगर उसने स़हीह़ त़ौर पर शराइत़ बयान कर दिये तो उसके हुक्म की तअ़्मील करे वरना नहीं यूंही अगर क़ाज़ी आ़दिल न हो तो जब तक सुबूत का ख़ुद मुआ़एना न किया हो वह काम न करे और उस ज़माना में एह़तियात़ का मुक़तज़ा (एह़तियात का तक़ाज़ा) यही है कि बहर सूरत सुबूत का मुआ़एना किये बिग़ैर क़ाज़ी के कहने पर यह अफ़आ़ल न करे। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

गवाही का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है।

﴿وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ج فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَأَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوْا وَلَا تَسْئَمُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰى اَجَلِهٖ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ اَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰى اَلَّا تَرْتَابُوْا اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا وَاَشْهِدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ وَّ اِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ﴾

तर्जमा :– "अपने मर्दों में से दो को गवाह बनालो और अगर दो मर्द न हों तो एक मर्द और दो औ़रतें उन गवाहों से जिनको तुम पसन्द करते हो कि कहीं एक औ़रत भूल जाये तो उसे दूसरी याद दिलादेगी। गवाह जब बुलाये जायें तो इन्कार न करें। मुआ़मला किसी मीआ़द तक हो तो उस के लिखने से मत घबराओ छोटा मुआ़मला हो या बड़ा। यह अल्लाह के नज़्दीक इन्स़ाफ़ की बात है और शहादत को दुरुस्त रखने वाला है और उसके क़रीब है कि तुम्हें शुबह न हो हाँ उस सूरत में कि तिजारत फ़ौरी तौर पर हो जिसको तुम आपस में कर रहे हो तो उसके न लिखने में हरज नहीं। और जब ख़रीद व फ़रोख़्त करो तो गवाह बनालो और न तो कातिब नुक़स़ान पहुँचाये न गवाह और अगर तुमने ऐसा किया तो यह तुम्हारा फ़िस्क़ है

और अल्लाह से डरो और अल्लाह तुमको सिखाता है और अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है"।
और फ़रमाता है।

﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَإِنَّهُ اٰثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ﴾

"और शहादत को न छुपाओ और जो उसे छुपायेगा उसका दिल गुनेहगार है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको जानता है"।

हदीस (1) इमाम मालिक व मुस्लिम व अहमद व अबूदाऊद व तिर्मिज़ी ज़ैद इब्ने ख़ालिद जोहनी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "क्या तुमको यह ख़बर न दूँ कि बेहतर गवाह कौन है वह जो गवाही देता है इससे क़ब्ल कि उससे गवाही के लिये कहा जाये"।

हदीस (2) बैहक़ी इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अगर लोगों को महज़ उनके दअ्वे पर चीज़ दिलादी जाये तो बहुत से लोग ख़ून और माल के दअ्वे कर डालेंगे व लेकिन मुद्दई के ज़िम्मे बय्यिना (गवाह) है और मुन्किर पर क़सम।

हदीस (3) अबूदाऊद ने उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि दो शख़्सों ने मीरास के मुतअ़ल्लिक़ हुज़ूर की ख़िदमत में दअ्वा किया और गवाह किसी के पास न थे इरशाद फ़रमाया कि अगर किसी के मुवाफ़िक़ उसके भाई की चीज़ का फ़ैसला कर दिया जाये तो वह आग का टुकड़ा है यह सुनकर दोनों ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह मैं अपना हक़ अपने फ़रीक़ को देता हूँ फ़रमाया यूँही नहीं बल्कि तुम दोनों जाकर उसे तक़सीम करो और ठीक ठीक तक़सीम करो फिर क़ुरआ अन्दाज़ी करके अपना अपना हिस्सा लेलो और हर एक दूसरे से (अगर उसके हिस्से में उस का हक़ पहुँच गया हो) मुआफ़ी कराले।

हदीस (4) शरह सुन्नत में जाबिर इब्ने अ़ब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि दो शख़्सों ने एक जानवर के मुतअ़ल्लिक़ दअ्वा किया हर एक ने इस बात पर गवाह क़ाइम किये कि मेरे घर का बच्चा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला किया जिसके क़ब्ज़े में था।

हदीस (5) अबूदाऊद ने अबू मूसा अश्अ़री रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर के ज़माना–ए–अक़्दस में दो शख़्सों ने एक ऊँट के मुतअ़ल्लिक़ दअ्वा किया और हर एक ने गवाह पेश किये हुज़ूर ने दोनों के माबैन निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम फ़रमादिया।

हदीस (6) सहीह मुस्लिम में है अ़ल्क़मा इब्ने वाइल अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक शख़्स हज़रमूत का और एक क़बीला–ए–कन्दा का दोनों हाज़िर हुए हज़रमूत वाले ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसने मेरी ज़मीन ज़बरदस्ती लेली कन्दी ने कहा वह ज़मीन मेरी है और मेरे क़ब्ज़े में है उसमें उस शख़्स का कोई हक़ नहीं हुज़ूर ने हज़रमूत वाले से फ़रमाया क्या तुम्हारे पास गवाह हैं अ़र्ज़ की नहीं। फ़रमाया तो अब उस पर हलफ़ दे सकते हो अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह यह शख़्स फ़ाजिर है उसकी परवाह भी न करेगा कि किस चीज़ पर क़सम खाता है ऐसी बातों से परहेज़ नहीं करता इरशाद फ़रमाया उसके सिवा दूसरी बात नहीं। जब वह शख़्स क़सम के लिये आमादा हुआ और इरशाद फ़रमाया अगर यह दूसरे के माल पर क़सम खायेगा कि बतौर ज़ुल्म उसका माल खाया जाये तो ख़ुदा से उस हाल में मिलेगा कि वह उससे एअ्राज़ फ़रमाने वाला है। (यानी नज़रे रहमत नहीं फ़रमायेगा)

हदीस (7) तिर्मिज़ी ने आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया कि "ख़ियानत करने वाले मर्द और ख़ियानत करने वाली औरत की गवाही जाइज़ नहीं और न उस मर्द की जिस पर हद लगाई गई और न ऐसी औरत की और न उसकी जिसको उससे अ़दावत है जिसके ख़िलाफ़ गवाही देता है और न उसकी जिस की झूटी गवाही का तजर्बा हो चुका

हो और न उसके मुवाफ़िक़ जिसका यह ताबेअ़ है (यानी उसका खाना, पीना जिस के साथ हो) और न उसकी जो विला या क़राबत में मुत्तहम हो"।

हदीस् (8) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कबीरा गुनाह यह है अल्लाह के साथ शरीक करना माँ, बाप की ना'फ़रमानी करना किसी को नाहक़ क़त्ल करना और झूटी गवाही देना।

हदीस् (9) अबूदाऊद व इब्ने माजा ने ख़ुरैम इब्ने फ़ातिक और इमाम अह़मद व तिर्मिज़ी ने ऐमन इब्ने ख़ुरैम रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने नमाज़े सुबह़ पढ़कर क़ियाम किया और यह फ़रमाया कि झूटी गवाही शिर्क के साथ बराबर करदी गई फिर उस आयत की तिलावत फ़रमाई।

﴿فاجتنبوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرُ مُشْرِكِين به﴾

"बुतों की नापाकी से बचो और झूटी बात से बचो अल्लाह के लिए बातिल से हक़ की तरफ़ माइल हो जाओ उसके साथ किसी को शरीक न करो"।

हदीस् (10) बुख़ारी व मुस्लिम में अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊ़द रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "सबसे बेहतर मेरे ज़माने के लोग हैं फिर जो उनके बा'द में फिर वह जो उनके बा'द में फिर ऐसी क़ौम आयेगी कि उनकी गवाही क़सम पर सब्क़त करेगी और क़सम गवाही पर या'नी गवाही देने और क़सम खाने में बेबाक होंगे।

हदीस् (11) इब्ने माजा अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि झूटे गवाह के क़दम हटने भी न पायेंगे कि अल्लाह उसके लिए जहन्नम वाजिब कर देगा।

हदीस् (12) तिब़रानी इब्ने अ़ब्बास रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसने ऐसी गवाही दी जिससे किसी मर्दे मुस्लिम का माल हलाक होजाये या किसी का ख़ून बहाया जाये उसने जहन्नम वाजिब कर लिया।

हदीस् (13) बैहक़ी अबूहुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि फ़रमाया जो शख़्स लोगों के साथ यह ज़ाहिर करते हुए चला कि यह भी गवाह है हालाँकि यह गवाह नहीं वह भी झूटे गवाह के हुक्म में है और जो बिग़ैर जाने हुए किसी के मुक़द्दमा की पैरवी करे वह अल्लाह की ना'ख़ुशी में है जब तक उससे जुदा न होजाये।

हदीस् (14) तिब़रानी अबू मूसा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर ने इरशादा फ़रमाया "जो गवाही के लिए बुलाया गया और उसने गवाही छुपाई या'नी अदा करने से गुरेज़ की वह वैसा ही है जैसा झूटी गवाही देने वाला"।

मसाइले फ़िक़्हिय्या

मसअ्ला.1:– किसी ह़क़ के साबित करने के लिये मज्लिसे क़ाज़ी में लफ़्ज़े शहादत के साथ सच्ची ख़बर देने को शहादत या गवाही कहते हैं।

मसअ्ला.2:– मुद्दई के त़लब करने पर गवाही देना लाज़िम है और अगर गवाह को अन्देशा हो कि गवाही न देगा तो साह़िबे ह़क़ का ह़क़ तल्फ़ हो जायेगा या'नी उसे मा'लूम ही नहीं है कि फ़ुलाँ शख़्स मुआ़मला को जानता है कि उसे गवाही के लिये त़लब करता उस सूरत में बिग़ैर त़लब भी गवाही देना लाज़िम है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– शहादत फ़र्ज़े किफ़ाया है बा'ज़ ने कर लिया तो बाक़ी लोगों से साक़ित और दो ही शख़्स हों तो फ़र्ज़े ऐन है। ख़्वाह तहम्मुल हो या अदा या'नी गवाह बनाने के लिए बुलाये गये या गवाही देने के लिये दोनों सूरतों में जाना ज़रूरी है। (बह़र)

मसअ्ला.4:– जिस चीज़ के गवाह हों अगर वह मुअज्जल है या'नी उसके लिये कोई मीआ़द हो तो लिख लेना चाहिए वरना न लिखने में कोई ह़रज नहीं। (बह़र)

मसअला.5:– शहादत के लिए दो क़िस्म की शर्तें हैं शराइते तहम्मुल व शराइते अदा।
तहम्मुल यानी मुआमला के गवाह बनने के लिए **तीन शरतें हैं (1)ब'वक़्ते तहम्मुल आक़िल** होना **(2)अंखयारा** होना **(3)जिस चीज़ का गवाह बने उसका मुशाहिदा करना** लिहाज़ा मजनून या ला यअ़क़िल (नासमझ) बच्चा या अन्धे की गवाही दुरुस्त नहीं यूँही जिस चीज़ का मुशाहिदा न किया हो महज़ सुनी सुनाई बात की गवाही देना जाइज़ नहीं हाँ बाज़ उमूर की शहादत बिग़ैर देखे महज़ सुनने के साथ हो सकती है जिनका ज़िक्र आयेगा। तहम्मुल के लिये बुलूग़, हुर्रियत, इस्लाम अ़दालत शर्त नहीं यानी अगर वक़्ते तहम्मुल बच्चा या गुलाम या काफ़िर या फ़ासिक़ था मगर अदा के वक़्त बच्चा बालिग़ होगया है गुलाम आज़ाद हो चुका है काफ़िर मुसलमान हो चुका है फ़ासिक़ ताइब हो चुका (तौबा करचुका) है तो गवाही मक़बूल है। (आलमगीरी वग़ैरा)
मसअला.6:– शाराइत अदा यह हैं (1)गवाह का आक़िल (2)बालिग़ (3)आज़ाद (4)अंखयारा होना (5)नातिक़ (बोल सकता हो) होना,(6)महदूद फ़िलक़ज़फ़ न होना यानी उसे तोहमत की हद न मारी गई हो (7)गवाही देने में गवाह का नफ़अ़ या दफ़अ़ ज़रर मक़सूद न होना। (8)जिस चीज़ की शहादत देता हो उसको जानता हो उस वक़्त भी उसे याद हो। (9)गवाह का फ़रीक़े मुक़द्दमा (मुक़द्दमा की पार्टी) न होना। (10)जिसके ख़िलाफ़ शहादत देता है वह मुसलमान हो तो गवाह का मुसलमान होना (11)हुदूद व क़िसास में गवाह का मर्द होना (12)हुक़ूक़ुलइबाद में जिस चीज़ की गवाही देता है उसका पहले से दअ़वा होना (13)शहादत का दअ़वे के मुवाफ़िक़ होना। (आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार)
मसअला.7:– शहादत का रुक्न यह है कि ब'वक़्ते अदा गवाह यह लफ़्ज़ कहे कि मैं गवाही देता हूँ उस लफ़्ज़ का यह मतलब है कि मैं ख़ुदा की क़सम खाकर कहता हूँ कि मैं उस बात पर मुत्तलअ़ हुआ और अब उसकी ख़बर देता हूँ। अगर गवाही में यह लफ़्ज़ कह दिया कि मेरे इल्म में यह है या मेरा गुमान यह है तो गवाही मक़बूल नहीं। (दुर्रे मुख़्तार) आज कल अंग्रेज़ी कचहरियों में उन लफ़्ज़ों से गवाही दी जाती है मैं ख़ुदा को हाज़िर नाज़िर जानकर कहता हूँ यह शरअ़ के ख़िलाफ़ है।
मसअला.8:– शहादत का हुक्म यह है कि गवाहों का जब तज़किया हो जाये (यानी जब क़ाज़ी गवाहों के बारे में यह तहक़ीक़ करले कि वह आदिल और मोतबर हैं या नहीं) उसके मुवाफ़िक़ हुक्म करना वाजिब है और जब तमाम शराइत पाये गये और क़ाज़ी ने गवाही के मुवाफ़िक़ फ़ैसला न किया गुनाहगार हुआ और मुस्तहक़े अ़ज़्ल व तअ़ज़ीर है (यानी उस क़ाज़ी को माज़ूल करके तादीबन सज़ा दी जाये)। (दुर्रे मुख़्तार)
मसअला.9:– अदाए शहादत वाजिब होने के लिए चन्द शराइत हैं (1)हुक़ूक़ुल इबाद में मुद्दई का तलब करना और अगर मुद्दई को उसका गवाह होना मालूम न हो और उसको मालूम हो कि गवाही न देगा तो मुद्दई की हक़ तल्फ़ी होगी इस सूरत में बिग़ैर तलब गवाही देना वाजिब है (2)यह मालूम हो कि क़ाज़ी उसकी गवाही क़बूल करलेगा और अगर मालूम हो कि क़बूल नहीं करेगा तो गवाही देना वाजिब नहीं (3)गवाही के लिये यह मुअ़य्यन है और अगर मुअ़य्यन न हो यानी और भी बहुत से गवाह हों तो गवाही देना वाजिब नहीं जब कि दूसरे लोग गवाही देदें और वह उस क़ाबिल हों कि उनकी गवाही मक़बूल होगी। और अगर ऐसे लोगों ने शहादत दी जिनकी गवाही मक़बूल न होगी और उसने न दी तो यह गुनाहगार है और अगर उसकी गवाही दूसरों की ब'निस्बत जल्द क़बूल होगी अगर्चे दूसरों की भी क़बूल होगी और उसने न दी गुनाहगार है (4)दो आदिल की ज़बानी उस अम्र का बुतलान मालूम न हुआ हो जिसकी शहादत देना चाहता है मसलन मुद्दई ने दैन का दअ़वा किया है जिसका यह शाहिद है मगर दो आदिल से मालूम हुआ कि मुद्दआ अ़लैह (जिस पर दावा किया गया) दैन अदा कर चुका है या ज़ौज (शौहर) निकाह का मुद्दई है और गवाह को मालूम हुआ कि तीन तलाक़ें दे चुका है या मुश्तरी गुलाम ख़रीदने का दअ़वा करता है और गवाह को मालूम हुआ है कि मुश्तरी उसे आज़ाद कर चुका है या क़त्ल का दअ़वा है और मालूम है कि वली मुआफ़ कर चुका है उन सब सूरतों में दैन व निकाह व बैअ़ व क़त्ल की गवाही देना दुरुस्त नहीं और अगर ख़बर देने

वाले आदिल न हों तो गवाह को इख़्तियार है गवाही दे और क़ाज़ी के सामने जो कुछ सुना है ज़ाहिर करदे और यह भी इख़्तियार है कि गवाही से इन्कार करदे। और अगर ख़बर देने वाला एक आदिल हो तो गवाही से इन्कार नहीं कर सकता। निकाह के दअ्वे में गवाह से दो आदिल ने कहा कि हमने खुद मआयना किया है कि दोनों ने एक औरत का दूध पिया है या गवाहों ने देखा है कि मुद्दई उस चीज़ में उस तरह तसर्रुफ़ करता है जैसे मालिक किया करते हैं और वह आदिल ने उनके सामने यह शहादत दी कि वह चीज़ दूसरे शख़्स की है तो गवाही देना जाइज़ नहीं। (5)जिस क़ाज़ी के पास शहादत के लिये बुलाया जाता है वह आदिल हो (6)गवाह को यह मालूम न हो कि मुक़िर (इक़रार करने वाला) ने ख़ौफ़ की वजह से इक़रार किया है अगर यह मालूम होजाये तो गवाही न दे मस्लन मुद्दआ अलैह से जबरन एक चीज़ का इक़रार कराया गया तो उस इक़रार की शहादत दुरुस्त नहीं (7)गवाह ऐसी जगह हो कि वह कचहरी से क़रीब हो यानी क़ाज़ी के यहाँ जाकर गवाही देकर शाम तक अपने मकान को वापस आ सकता हो और अगर ज़्यादा फ़ासिला हो कि शाम तक वापस न आ सकता हो तो गवाही न देने में गुनाह नहीं और अगर बूढ़ा है कि पैदल कचहरी तक नहीं जा सकता और खुद उसके पास सवारी नहीं है मुद्दई अपनी तरफ़ से उसे सवार करके लेगया इस में हरज नहीं और गवाही मक़बूल है और अगर अपनी सवारी पर जा सकता हो और मुद्दई सवार करके लेगया तो गवाही मक़बूल नहीं। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.10:– आज कल अंग्रेज़ी कचहरियों में गवाही देने की जो सूरत है वह अहले मुआमला पर मख़्फ़ी (पोशीदा) नहीं वकीले मुद्दई झूट बोलने पर ज़ोर देते हैं और वकीले मुद्दआ अलैह झूटा बनाने की कोशिश करते हैं ऐसी गवाही से खुदा बचाये।

मसअ्ला.11:– मुद्दई ने गवाहों को खाना खिलाया अगर उसकी सूरत यह है कि खाना तैयार था और गवाह उस मौक़े पर पहुँच गया उसे भी खिलादिया तो गवाही मक़बूल है और अगर ख़ास गवाहों के लिये खाना तैयार हुआ है तो गवाही मक़बूल नहीं मगर इमाम अबू यूसुफ़ फ़रमाते हैं कि उस सूरत में भी मक़बूल है। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.12:– हक़ूक़ुल्लाह में गवाही देना बिग़ैर तलबे मुद्दई भी वाजिब बल्कि गवाही में ताख़ीर करना भी उसके लिये जाइज़ नहीं अगर बिला उज़्रे शरई ताख़ीर करेगा फ़ासिक़ होजायेगा और उसकी गवाही मरदूद होगी मस्लन किसी ने अपनी औरत को बाइन तलाक़ देदी है उसकी गवाही देना ज़रूरी है। और मुग़ल्लज़ा तलाक़ के बाद वह दोनों मियाँ, बीवी की तरह रहते हों और उसे मालूम है और गवाही नहीं दी कुछ दिनों के बाद गवाही देता है मरदूदुश्शहादत है। (दुर्रेमुख़्तार, बहर)

मसअ्ला.13:– एक शख़्स मरगया उसने ज़ौजा और दीगर वारिस छोड़े गवाहों ने गवाही दी कि उसने सेहत की हालत में हमारे सामने इक़रार किया था कि औरत को तीन तलाक़ें देदी हैं या बाइन तलाक़ दी है यह गवाही मरदूद है जब कि वह औरत उसी मर्द के साथ रहती रही हो कि उन लोगों ने अब तक देखा और ख़ामोश रहे लिहाज़ा फ़ासिक़ होगये। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.14:– हिलाले रमज़ान व ईदुल फ़ित्र व ईदुलअज़हा की शहादत देना भी वाजिब है और वक़्फ़ की गवाही भी ज़रूरी है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.15:– हुदूद की गवाही में दोनों पहलू हैं एक इज़ालाए मुन्किर व रफ़अ़े फ़साद (झगड़, फ़साद को ख़राबी ख़त्म करना) और दूसरा मुस्लिम की पर्दापोशी करना गवाह को इख़्तियार है कि पहली सूरत इख़्तियार करे और गवाही दे या दूसरी सूरत इख़्तियार करे और गवाही देने से इज्तिनाब, परहेज़ करे और यह दूसरी सूरत ज़्यादा बेहतर है मगर जब कि वह शख़्स बेबाक हो हुदूदे शरईया की मुहाफ़िज़त न करता हो। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– चोरी की शहादत में बेहतर यह कहना है कि उसने उस शख़्स का माल लेलिया यह न कहे कि चोरी की कि उस तरह कहने में एहयाए हक़ भी होजाता है (यानी हक़ भी साबित हो जाता है)

और पर्दा पोशी भी। (हिदाया)

मसअ्ला.17:– निसाबे शहादते ज़िना में चार शख़्स हैं बक़िया हुदूद व क़िसास के लिये दो मर्द इन दोनों चीज़ों में औरतों की गवाही मोअ्तबर नहीं हाँ अगर किसी ने तलाक़ को शराब पीने पर मुअल्लक़ किया था और उसके शराब पीने की गवाही एक मर्द और दो औरतों ने दी तो तलाक़ वाक़ेअ् होने का हुक्म कर दिया जायेगा अगर्चे हद नहीं जारी होगी। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला.18:– किसी मर्दे काफ़िर के इस्लाम लाने का सुबूत भी दो मर्दों की शहादत से होगा उसी तरह मुसलमान के मुर्तद होने का सुबूत भी दो मर्दों की गवाही से होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.19:– विलादत (औरत का बच्चा जनना) व बुकारत (औरत का कुँवारी होना) और औरतों के वह उयूब जिन पर मर्दों को इत्तिलाअ् नहीं होती उनमें एक औरत हुर्रा मुस्लिमा (आज़ाद मुसलमान औरत) की गवाही काफ़ी है और दो औरतें हों तो बेहतर और बच्चा ज़िन्दा पैदा हुआ पैदा होने के वक़्त रोया था उसकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ने के हक़ में एक औरत की गवाही काफ़ी है। मगर हक़े विरासत में इमामे आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु के नज़्दीक एक औरत की गवाही काफ़ी नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.20:– औरतों के वह उयूब जिनपर मर्दों को इत्तिलाअ् नहीं होती और विलादत के मुतअ़ल्लिक़ अगर एक मर्द ने शहादत दी उसकी दो सूरतें हैं अगर कहता है मैंने बिलक़स्द उधर नज़र की थी तो गवाही मक़बूल नहीं कि मर्द को नज़र करना जाइज़ नहीं। और अगर यह कहता है कि अचानक मेरी उस तरफ़ नज़र चली गई तो गवाही मक़बूल है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.21:– मकतब के बच्चों में मार पीट झगड़े हो जायें उनमें तन्हा मुअ़ल्लिम की गवाही मक़बूल है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.22:– उनके एलावा दीगर मुआ़मलात में दो मर्द या एक मर्द और दो औरतों की गवाही मोअ्तबर है जिस हक़ की शहादत दीगई हो वह माल हो या ग़ैर माल मसलन निकाह, तलाक़, एताक़, वकालत कि यह माल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.23:– किसी मुआ़मले में तन्हा चार औरतें गवाही दें जिनके साथ मर्द कोई नहीं यह गवाही ना'मोअ्तबर है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.24:– गवाही की हर सूरत में यह कहना ज़रूरी है कि मैं गवाही देता हूँ। यानी सेग़ा हाल (जिस शब्द से वर्तमान काल का बोध हो) कहना ज़रूरी है और जहाँ यह लफ़्ज़ शर्त न हो मसलन पानी की तहारत और रुयते हिलाले रमज़ान कि यह अज़ क़बीले शहादत नहीं बल्कि अख़बार है। शहादत के वाजिबुलक़बूल होने के लिये अदालत शर्त है। सेहते क़ज़ा के लिये अदालत शर्त नहीं अगर ग़ैर आदिल की शहादत क़ाज़ी ने क़बूल करली और फ़ैसला देदिया तो यह फ़ैसला नाफ़िज़ है अगर्चे क़ाज़ी गुनाहगार हुआ और अगर क़ाज़ी के लिये बादशाह का यह हुक्म है कि फ़ासिक़ की गवाही क़बूल न करना और क़ाज़ी ने कबूल करली तो फ़ैसला नाफ़िज़ न होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.25:– गवाही ऐसे शख़्स पर देता हो जो मौजूद है तो गवाह को मुद्दई व मुद्दआ़ अ़लैह व मशहूद बिही (वह चीज़ जिस के मुतअ़ल्लिक़ शहादत देता है) की तरफ़ इशारा करना ज़रूरी है जबकि मशहूद बिही ऐन हो और ग़ायब या मय्यित पर शहादत देता हो तो उसका और उसके बाप और दादा के नाम लेना ज़रूरी है और अगर उसके बाप और पेशा का नाम लिया दादा का नाम न लिया यह काफ़ी नहीं हाँ अगर उसकी वजह से ऐसा मुमताज़ होजाये कि किसी क़िस्म का शुबह बाक़ी न रहे तो काफ़ी है और अगर वह इतना मअ्रूफ़ है कि फ़क़त नाम या लक़ब ही से बिलकुल मुमताज़ हो जाये तो यही काफ़ी है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.26:– क़ाज़ी को अगर गवाहों का आदिल होना मालूम हो तो उनके हालात की तहक़ीक़ की क्या हाजत और मालूम न हो तो हुदूद व क़िसास में तहक़ीक़ात करना ही है मुद्दआ़ अ़लैह उसकी दरख़्वास्त करे या न करे और उनके ग़ैर में अगर मुद्दआ़ अ़लैह उनपर तअ्न करता हो तो

ज़रूर है वरना क़ाज़ी को इख़्तियार है। और इस ज़माने में मख़्फ़ी तौर पर गवाहों के हालात दरयाफ़्त किये जायें एलानिया दरयाफ़्त करने में बड़े फ़ितने हैं। (हिदाया वग़ैरा)

मसअ्ला.27:– जो चीज़ देखने की है उसे आँख से देखा और जो चीज़ सुनने की है उसे अपने कान से सुना मगर जिससे सुना उसको भी आँख से देखा हो तो गवाही देना जाइज़ है अगर्चे पर्दा की आड़ से देखा हो कि उसने देखा और उसने न देखा यह ज़रूर नहीं कि उसने कह दिया हो कि मैंने तुम्हें गवाह बनाया मस्लन दो शख़्सों के माबैन बैअ् हुई उसने दोनों को देखा और दोनों के अलफ़ाज़ सुने या बतौर तआ़ती (यानी बिग़ैर बोले सिर्फ़ लेन देन के ज़रीए ख़रीद ो फ़रोख़्त करना) दो शख़्सों के माबैन बैअ् हुई जिसको ख़ुद उसने देखा यह बैअ् का गवाह है या मज्लिसे निकाह़ में यह ह़ाज़िर है अल्फ़ाज़े ईजाब व क़बूल अपने कान से सुने और दोनों को सुनने के वक़्त देख रहा है यह निकाह़ का गवाह है अगर्चे रस्मी तौर पर उसको गवाही के लिये नामज़द न किया हो यूँहीं अगर उसके सामने मुक़िर ने इक़रार किया यह इक़रार का गवाह है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.28:– जिसकी बात उसने सुनी वह पर्दे में है आवाज़ सुनता है मगर उसे देखता नहीं है उसके मुतअ़ल्लिक़ उसकी गवाही दुरुस्त नहीं अगर्चे आवाज़ से मालूम होरहा है कि यह फुलाँ की आवाज़ है हाँ अगर उसे वाज़ेह तौर पर यह मालूम है कि उसके सिवा कोई दूसरा नहीं है यूँकि यह ख़ुद पहले मकान में गया था और देख आया था कि मकान में उसके सिवा कोई नहीं है और यह दरवाज़े पर बैठा रहा कोई दूसरा मकान के अन्दर गया नहीं और मकान में जाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं ऐसी ह़ालत में जो कुछ अन्दर से आवाज़ आई और उसने सुनी उसकी शहादत दे सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.29:– एक औ़रत ने कोई बात कही यह उसको देख रहा है मगर चेहरा नहीं देखा कि पहचानता और दो शख़्सों ने उसके सामने यह शहादत दी कि यह फुलानी औ़रत है तो नाम व नसब के साथ यानी फुलानी औ़रत फुलाँ की बेटी ने यह इक़रार किया यूँ गवाही देना जाइज़ है और अगर देखा नहीं फ़क़त आवाज़ सुनी और दो शख़्सों ने उसके सामने शहादत दी कि यह फुलानी औ़रत है उस सूरत में गवाही देना जाइज़ नहीं और अगर चेहरा उसने ख़ुद देख लिया और उसने ख़ुद अपने मुँह से कह दिया कि मैं फुलाना बिन्ते फुलाँ हूँ तो जब तक वह ज़िन्दा है यह गवाही दे सकता है और उसकी तरफ़ इशारा करके यह कह सकता है कि उसने मेरे सामने यह इक़रार किया था इस सूरत में उसकी ज़रूरत नहीं कि दो शख़्स उसके सामने गवाही दें कि यह फुलानी है और उसके मरने के बाद यह शहादत देना जाइज़ नहीं कि फुलानी औ़रत ने मेरे सामने इक़रार किया जबकि यह ख़ुद पहचानता नहीं मह़ज़ उसके कहने से जान लिया हो।(दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.30:– एक औ़रत के मुतअ़ल्लिक़ नाम व नसब के साथ गवाही दी और औ़रत कचहरी में ह़ाज़िर है ह़ाकिम ने दरयाफ़्त किया कि उस औ़रत को पहचानते हो गवाह ने कहा नहीं यह गवाही मक़बूल नहीं और अगर गवाह ने यह कहा कि वह औ़रत जिसका नाम व नसब यह है उसने जो बात कही थी हम उसके शाहिद हैं मगर यह हमको मालूम नहीं कि यह वही है या दूसरी तो उस नामबुर्दा (जिसका नाम लिया जा चुका) पर शहादत सह़ीह़ है मगर मुद्दई के ज़िम्मे यह साबित करना है कि यह औ़रत जो ह़ाज़िर है वही है। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.31:– एक शख़्स के ज़िम्मे किसी का मुतालबा है वह तन्हाई में इक़रार कर लेता है मगर जब लोगों के सामने दरयाफ़्त करता है तो इन्कार कर देता है साह़िबे हक़ ने यह ह़ीला किया कि कुछ लोगों को मकान के अन्दर छुपा दिया और उसको बुलाया और दरयाफ़्त किया उसने यह समझकर कि यहाँ कोई नहीं है इक़रार करलिया जिसको उन लोगों ने सुना अगर उन लोगों ने दरवाज़े की झिरी या सूराख़ से उस शख़्स को देख लिया गवाही देना दुरुस्त है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.32:– मिल्क को जानता है मगर मालिक को नहीं पहचानता मस्लन एक मकान है जिसको उसने देखा है और उसके हुदूदे अरबआ़ (चारों ह़दों) को पहचानता है और लोगों से उसने सुना है कि यह मकान फुलाँ इब्ने फुलाँ का है जिसको यह पहचानता नहीं उसको गवाही देना

जाइज़ है और गवाही मक़बूल है और अगर मिल्क व मालिक दोनों को नहीं पहचानता मसलन यह सुना है कि फ़ुलाँ इब्ने फ़ुलाँ का फ़ुलाँ गाँव में एक मकान है जिसके हुदूद यह हैं न मकान को देखा न मालिक को तसर्रुफ़ करते देखा इस सूरत में गवाही देना जाइज़ नहीं और अगर मालिक को देखा है मगर मिल्क को नहीं देखा है मसलन उस शख़्स को ख़ूब पहचानता है और लोगों से सुनता है कि फ़ुलाँ जगह उसका एक मकान है जिसके हुदूद यह हैं उस सूरत में गवाही देना जाइज़ नहीं। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.33:– मालिक व मिल्क दोनों को देखा है उस शख़्स को देखा है कि उस मिल्क में उस क़िस्म का तसर्रुफ़ करता है जिस तरह मालिक करते हैं और वह कहता है कि यह चीज़ मेरी है और गवाह की समझ में भी यह बात आगई कि यह उसी की है फिर कुछ दिनों बाद वह चीज़ दूसरे के क़ब्ज़े में देखी शख़्से अव्वल की मिल्क की शहादत दे सकता है मगर क़ाज़ी के सामने अगर यह बयान कर देगा कि मुझे उसकी मिल्क होना इस तरह मालूम हुआ है कि मैंने उसे तसर्रुफ़ करते देखा है तो गवाही रद करदी जायेगी हाँ अगर दो आ़दिल ने गवाह को यह ख़बर दी कि यह चीज़ शख़्से सानी (दूसरे शख़्स) ही की है उसने पहले के पास अमानत रखी थी तो अब पहले के लिये गवाही देना जाइज़ नहीं। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.34:– जो बात मअ्रूफ़ व मशहूर हो जिसमें सुनकर भी गवाही देना जाइज़ हो जाता है मसलन किसी की मौत, निकाह, नसब जब कि दिल में यह बात आती है कि जो कुछ लोग कह रहे हैं ठीक है उसके मुतअ़ल्लिक़ अगर दो आ़दिल यह कहदें कि वैसा नहीं है जो तुम्हारे दिल में है अब गवाही देना जाइज़ नहीं हाँ अगर गवाह को यक़ीन है कि यह जो कुछ कह रहे हैं ग़लत है तो गवाही दे सकता है और अगर एक आ़दिल ने उसके ख़िलाफ़ की शहादत दी है तो गवाही देना जाइज़ है मगर जब दिल में यह बात आये कि यह शख़्स सच कहता है तो नाजाइज़ है। (ख़ानिया)

मसअ्ला.35:– मुद्दई ने एक तहरीर पेश की कि यह मुद्दआ़ अ़लैह की तहरीर है और मुद्दआ़ अ़लैह कहता है कि यह मेरी तहरीर नहीं मुद्दआ़ अ़लैह से एक तहरीर लिखवाई गई दोनों तहरीरों को मिलाया गया बिलकुल मुशाबा हैं महज़ इतनी बात से मुद्दआ़ अ़लैह की तहरीर क़रार देकर उस पर माल लाज़िम नहीं किया जासकता जब तक गवाहों से वह तहरीर बाज़ाब्ता है यानी उस तरह लिखी है जिस तरह इक़रार नामा लिखा जाता है तो मुद्दआ़ अ़लैहि पर माल लाज़िम है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला.36:– दस्तावेज़ पर उसकी गवाही लिखी हुई है अगर उसके सामने दस्तावेज़ पेश हुई पहचान लिया कि यह मेरे दस्तख़त हैं अगर वाक़िआ़ उसको याद आगया अगर्चे उससे पहले याद न था गवाही देना जाइज़ है और अगर अब भी याद नहीं आता या यह याद आता है कि मैंने उस काग़ज़ पर गवाही लिखी थी मगर माल दिया गया यह याद नहीं तो इमाम मुहम्मद रहिमहुल्लाहु तआ़ला के नज़्दीक गवाही देना जाइज़ है। यह पहचानता है कि दस्तख़त मेरे हैं मगर मुआ़मला बिलकुल याद नहीं अगर काग़ज़ उसकी हिफ़ाज़त में था जब तो इमाम अबूयूसुफ़ के नज़्दीक भी गवाही देना जाइज़ है और फ़तवा इस पर है कि अगर उसे यक़ीन है कि यह दस्तख़त मेरे ही हैं तो चाहे काग़ज़ उसके पास हो या मुद्दई के पास हो गवाही देना जाइज़ है। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.37:– दस्तख़त पहचानता है कि मेरे ही हैं और मुक़िर का इक़रार भी याद है और मुक़िर लहू को भी पहचानता है मगर यह याद नहीं कि वह क्या वक़्त था और कौनसी जगह थी गवाही देना हलाल है। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.38:– गवाहों के सामने दस्तावेज़ लिखी गई मगर पढ़कर सुनाई नहीं गई गवाहों से कहा जो कुछ उसमें लिखा है उसके गवाह होजाओ उन लोगों को शहादत देना जाइज़ नहीं। गवाही देना उस वक़्त जाइज़ है कि उन्हें पढ़कर सुनादे या दूसरे ने दस्तावेज़ लिखी और मुक़िर ने ख़ुद पढ़कर सुनाई और यह कहदिया कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके गवाह होजाओ या गवाहों के सामने ख़ुद मुक़िर ने लिखी और गवाहों को मालूम है जो कुछ उसमें लिखा है और मुक़िर ने कह दिया जो कुछ मैंने उस में लिखा है उसके तुम गवाह होजाओ। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.39:– मुक़िर ने दस्तावेज़ लिखी और गवाहों को मालूम है जो कुछ उसमें लिखा है मगर

मुक़िर ने गवाहों से यह नहीं कहा कि तुम उसके गवाह होजाओ अगर वह इक़रार'नामा रस्म के मुताबिक़ है और गवाहों के सामने लिखा है उनको गवाही देना जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.40:– जिस चीज़ की गवाही दी जाती है उसकी दो क़िस्में हैं एक यह कि महज़ उसका मुआयना गवाही देने के लिए काफ़ी है जैसे बैअ्, इक़रार, ग़सब, क़त्ल कि बाइअ् व मुश्तरी से बैअ् के अल्फ़ाज़ सुने या मुक़िर से इक़रार सुना या ग़सब व क़त्ल करते हुए देखा गवाही देना दुरुस्त है उसको गवाह बनाया हो या न बनाया हो। अगर गवाह नहीं बनाया है तो यह कहेगा कि मैं गवाही देता हूँ यह नहीं कहेगा कि मुझे गवाह बनाया है दूसरी क़िस्म यह है कि बिग़ैर गवाह बनाये हुए गवाही देना दुरुस्त नहीं जैसे किसी को गवाही देते हुए देखा तो यह गवाही नहीं दे सकता यानी यूँ कि मैं गवाही देता हूँ कि उसने यह गवाही दी हाँ अगर उसने उसको गवाह बनाया तो गवाही दे सकता है। (हिदाया वग़ैरा)

मसअ्ला.41:– क़ाज़ी ने उसके सामने फ़ैसला सुनाया यह गवाही दे सकता है कि फ़ुलाँ क़ाज़ी ने उस मुआ़मला में यह फ़ैसला किया है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.42:– चन्द चीज़ें वह हैं कि महज़ शोहरत और सुनने के बिना पर उन की शहादत देना दुरुस्त है अगर्चे उसने ख़ुद मुशाहिदा न किया हो जबकि ऐसे लोगों से सुना हो जिनपर एअ्तिमाद हो। (1)निकाह़ (2)नसब (3)मौत (4)क़ज़ा (5)दुख़ूल मस्लन एक शख़्स को देखा कि वह एक औ़रत के पास जाता है और लोगों से सुना कि यह उसकी बीवी है यह निकाह़ की गवाही दे सकता है। या लोगों से सुना है कि यह शख़्स फ़ुलाँ का बेटा है शहादत दे सकता है। या एक शख़्स को देखा कि लोगों के मुआ़मलात फ़ैसल करता है और लोगों से सुना कि यह यहाँ का क़ाज़ी है। गवाही दे सकता है कि यह क़ाज़ी है अगर्चे बादशाह ने जब क़ाज़ी बनाया उसने मुशाहिदा नहीं किया। या एक शख़्स की निस्बत लोगों से सुना कि मरगया उसकी मौत की शहादत दे सकता है मगर उन सूरतों में गवाह को चाहिए कि यह ज़ाहिर न करे कि मैंने ऐसा सुना है अगर सुनना बयान कर देगा तो गवाही रद हो जायेगी। (हिदाया, आलमगीरी)

मसअ्ला.43:– मर्द व औ़रत को एक घर में रहते देखा और यह कि वह इस त़रह़ रहते हैं जैसे मियाँ बीवी उस सूरत में निकाह़ की गवाही दे सकता है। (हिदाया)

मसअ्ला.44:– अगर किसी के दफ़न में यह ख़ुद ह़ाज़िर था या उसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ी तो यह मुआ़एना ही के हुक्म में है अगर्चे न मरते वक़्त ह़ाज़िर था न मय्यित का चेहरा खोलकर देखा। अगर उस अम्र को क़ाज़ी के सामने भी ज़ाहिर कर देगा जब भी गवाही मक़बूल है। (हिदाया)

मसअ्ला.45:– किसी के मरने की ख़बर आई और घर वालों ने वह चीज़ें कीं जो अमवात के लिये करते हैं मस्लन सोम व ईसाले स़वाब वग़ैरा महज़ इतनी बात मा़लूम होने पर मौत की शहादत देना दुरुस्त नहीं जब तक मोअ्तबर आदमी यह ख़बर न दे कि वह मरगया और उसने अपनी आँखों से देखा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.46:– अस्ले वक़्फ़ की शहादत सुनने की बिना पर जाइज़ है शराइत़ के मुतअ़ल्लिक़ सुनकर शहादत देना ना'दुरुस्त है क्योंकि आ़म त़ौर पर वक़्फ़ ही की शोहरत हुआ करती है और यह बात कि उस की आमदनी उस नोईयत से ख़र्च की जायेगी उसको ख़ास़ ही जानते हैं। (हिदाया)

किसकी गवाही मक़बूल है और किसकी नही

मसअ्ला.1:– गूँगे और अन्धे की गवाही मक़बूल नहीं चाहे वह पहले ही से अन्धा था या पहले अन्धा न था वह शय देखी थी जिसकी गवाही देता है मगर गवाही देने के वक़्त अन्धा है बल्कि अगर गवाही देने के वक़्त अंखयारा है और अभी फ़ैसला नहीं हुआ है कि अन्धा होगया उस गवाही पर फ़ैसला नहीं होसकता पहले अन्धा था गवाही रद होगई फिर अंखयारा होगया और उसी मुआ़मले में गवाही दी अब क़बूल होगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– काफ़िर की गवाही मुस्लिम के ख़िलाफ़ क़बूल नहीं मुर्तद की गवाही अस़लन मक़बूल नहीं ज़िम्मी की गवाही ज़िम्मी पर क़बूल है अगर्चे दोनों के मुख़्तलिफ़ दैन हों मस्लन एक यहूदी है दूसरा नस़रानी यूहीं ज़िम्मी की शहादत मुस्तामिन पर दुरुस्त है और मुस्तामिन की ज़िम्मी पर दुरुस्त नहीं। एक मुस्तामिन दूसरे मुस्तामिन पर गवाही दे सकता है जबकि दोनों एक सलत़नत के रहने

वाले हों। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– दो शख़्सों में दुनियावी अ़दावत (दुनियवी मुआमले की वजह से दुश्मनी) हो तो एक की गवाही दूसरे के ख़िलाफ़ मक़्बूल नहीं और अगर दीन की बिना पर अ़दावत हो तो क़बूल की जा सकती है। जबकि उनके मज़हब में मुख़ालिफ़ मज़हब के मुक़ाबिल झूटी गवाही देना जाइज़ न हो और वह हद्दे कुफ़्र को भी न पहुँचा हो। (दुर्रे मुख़्तार) आजकल के वहाबी अव्वलन कुफ़्र की ह़द को पहुँच गये हैं दोम तजर्बा से यह बात साबित है कि सुन्नियों के मुक़ाबिल में झुट बोलने में बिल्कुल बाक (डर, ख़ौफ़) नहीं रखते उनकी गवाही सुन्नियों के मुक़ाबिल में हरगिज़ क़ाबिले क़बूल नहीं।

मसअ्ला.4:– जो शख़्स सग़ीरा गुनाह का मुर्तकिब है मगर उसपर इसरार न करता हो यानी मुत'अ़दिद बार न किया हो और कबीरा से इज्तिनाब करता हो (बचता हो) उसकी गवाही मक़्बूल है और कबीरा का इर्तिकाब करेगा तो गवाही क़बूल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– जिसका किसी उ़ज़्र की वजह से ख़तना नहीं हुआ है या उसके उनसयैन (फ़ोते) निकाल डाले गये हों या मक़्तूउज़्ज़कर (लिंग कटा हुआ) हो या वलदुज़्ज़िना (नाजायज़ औलाद) हो या ख़ुन्सा (हिजड़ा) हो उसकी गवाही मक़्बूल है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– भाई की गवाही भाई के लिये भतीजे की चचा के लिये या चचा की औलाद के लिये या बिलअ़क्स या मामूँ और ख़ाला और उनकी औलाद के लिय या बिलअ़क्स। सास, सुसर, साली, साले, दामाद के लिये दुरुस्त है। माबैन मुद्दई व गवाह के हुरमते रज़ाअ़त या मुसाहरत हो गवाही क़बूल है। (दुर्रेमुख़्तार, आ़लमगीरी)

मसअ्ला.7:– मुलाज़िमीने सल्तनत अगर ज़ुल्म पर इआनत (मदद) न करते हों तो उनकी गवाही मक़्बूल है। किसी अमीर कबीर ने दअ़्वा किया उसके मुलाज़िमीन और रिआ़या की गवाही उसके ह़क़ में मक़्बूल नहीं यूँहीं ज़मींदार के ह़क़ में असामियों (वह लोग जो काश्तकारी के लिये ज़मींदार से ठेके पर ज़मीन लेते हैं) की गवाही मक़्बूल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– ग़ुलाम और बच्चे की गवाही और वह लोग जो दुनिया की बातों से बेख़बर रहते हैं यानी मजज़ूब या मजज़ूब सिफ़त उनकी गवाही भी मक़्बूल नहीं। ग़ुलाम ने या किसी ने बचपन में किसी मुआ़मले को देखा था आज़ाद होने और बालिग़ होने के बा'द गवाही देता है या ज़माना–ए–कुफ़्र में मुशाहिदा किया था इस्लाम लाने के बाद मुस्लिम के ख़िलाफ़ गवाही देता है मक़्बूल है कि मानेअ़् मौजूद न रहा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– जिसपर ह़द्दे क़ज़फ़ क़ाइम की गई (यानी किसी पर ज़िना की तोहमत लगाई और सुबूत नहीं दे सका उस वजह से उसपर हद मारी गई) उसकी गवाही कभी मक़्बूल नहीं अगर्चे ताइब हो चुका हो हाँ काफ़िर पर ह़द्दे क़ज़फ़ क़ाइम हुई फिर मुसलमान होगया तो उस की गवाही मक़्बूल है। जिसका झूठा होना मशहूर है या झूटी गवाही दे चुका है जिस का सुबूत हो चुका है उस की गवाही मक़्बूल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– ज़ौज व ज़ौजा में से एक की गवाही दूसरे के ह़क़ में मक़्बूल नहीं बल्कि तीन त़लाक़ें दे चुका है और अभी इ़द्दत में है जब एक की गवाही दूसरे के ह़क़ में क़बूल नहीं बल्कि गवाही देने के बा'द निकाह़ हुआ और अभी फ़ैसला नहीं हुआ है यह गवाही भी बात़िल होगई और उनमें एक की गवाही दूसरे के ख़िलाफ़ मक़्बूल है मगर शौहर ने औ़रत के ज़िना की शहादत दी तो यह गवाही मक़्बूल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.11:– फ़रअ़् की गवाही अस्ल के लिये और अस्ल की फ़रअ़् के लिये यानी औलाद अगर माँ, बाप, दादा, दादी वग़ैराहुम उसूल के ह़क़ में गवाही दें या माँ, बाप, दादा, दादी वग़ैरहुम अपनी औलाद के ह़क़ में गवाही दें यह ना'मक़्बूल हैं हाँ अगर बाप बेटे के माबैन मुक़द्दमा है और दादा ने बाप के ख़िलाफ़ पोते के ह़क़ में गवाही दी तो मक़्बूल है और अस्ल ने फ़रअ़् के ख़िलाफ़ या फ़रअ़् ने अस्ल के ख़िलाफ़ गवाही दी तो मक़्बूल है। मगर मियाँ बीवी में झगड़ा है और बेटे ने बाप के

ख़िलाफ़ माँ के मुवाफ़िक़ गवाही दी तो मक़बूल नहीं यहाँ तक कि उसकी सोतैली माँ ने उसके बाप पर तलाक़ का दअ्वा किया और उसकी माँ ज़िन्दा है और उसके बाप के निकाह में है उसने तलाक़ की गवाही दी यह मक़बूल नहीं कि उसमें उस की माँ का फ़ायदा है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– एक शख़्स ने अपनी औरत को तलाक़ दी जिसकी गवाही बेटे देते हैं और वह शख़्स तलाक़ देने से इन्कार करता है उसकी दो सूरतें हैं इनकी माँ तलाक का दअ्वा करती है या नहीं अगर करती है तो बेटों की गवाही क़बूल नहीं और मुद्दई नहीं है तो मक़बूल है। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.13:– बेटों ने यह गवाही दी कि हमारी सोतैली माँ मआ़ज़ल्लाह मुर्तद्दा होगई और वह मुन्किर है अगर उन लड़कों की माँ ज़िन्दा है यह गवाही मक़बूल नहीं और अगर ज़िन्दा नहीं है तो दो सूरतें हैं बाप मुद्दई है या नहीं अगर बाप मुद्दई है जब भी मक़बूल नहीं वरना मक़बूल है। (बहर)

मसअ्ला.14:– एक शख़्स ने अपनी औरत को तलाक़ दी फिर निकाह किया बेटे यह कहते हैं कि तीन तलाक़ें दी थीं और बिग़ैर हलाला के निकाह किया बाप अगर मुद्दई है तो मक़बूल नहीं वरना मक़बूल है। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.15:– दो शख़्स बा'हम शरीक हैं उनमें एक दूसरे के हक़ में उस शय के बारे में शहादत देता है जो दोनों की शिरकत की है यह गवाही मक़बूल नहीं कि ख़ुद अपनी ज़ात के लिये यह गवाही होगई और अगर वह चीज़ शिरकत की न हो तो गवाही मक़बूल है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– गाँव के ज़मीनदारों ने यह शहादत दी कि ज़मीन उसी गाँव की है यह शहादत मक़बूल नहीं कि यह शहादत अपनी ज़ात के लिये है यूँहीं कूचा–ए–ग़ैर नाफ़िज़ा के रहने वाले एक ने दूसरे के हक़ में ऐसी गवाही दी जिस का नफ़अ् ख़ुद उस की तरफ़ भी आइद होता है यह गवाही मक़बूल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– महल्ले के लोगों ने मस्जिदे महल्ला के वक़्फ़ की शहादत दी कि यह चीज़ उस मस्जिद पर वक़्फ़ है या अहले शहर ने मस्जिद जामेअ् के औक़ाफ़ की शहादत दी या मुसाफ़िरों ने यह गवाही दी कि यह चीज़ मुसाफ़िरों पर वक़्फ़ है मस्लन मुसाफ़िर ख़ाना यह गवाहियाँ मक़बूल हैं उ़लमा–ए–मदरसा ने मदरसा की जायदादे मौक़ूफ़ा की गवाही दी या किसी ऐसे शख़्स ने गवाही दी जिसका बच्चा मदरसा में पढ़ता है यह गवाही भी मक़बूल है। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.18:– अहले मदरसा ने वक़्फ़ की आमदनी के मुतअ़ल्लिक़ कोई ऐसी गवाही दी जिसका नफ़ा ख़ुद उस की तरफ़ भी आइद होता है यह गवाही मक़बूल नहीं। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.19:– किसी कारीगर के पास काम सीखने वाले जिनकी न कोई तनख़्वाह है न मज़दूरी पाते हैं अपने उस्ताद के पास रहते और उसके यहाँ खाते पीते हैं उनकी गवाही उस्ताद के हक़ में मक़बूल नहीं। (हिदाया)

मसअ्ला.20:– अजीरे ख़ास जो एक मख़सूस शख़्स का काम करता है कि उन औक़ात में दूसरे का काम नहीं कर सकता ख़्वाह वह नौकर हो जो हफ़्तावार, माहवार, शशमाही, बरसी पर तनख़्वाह पाता या रोज़ाना का मज़दूर हो कि सुबह से शाम तक का मस्लन मज़दूर है दूसरे दिन मुस्ताजिर (ठेकेदार, मज़दूरी देकर काम कराने वाला) ने बुलाया तो काम करेगा वरना नहीं उन सबकी गवाही मुस्ताजिर के हक़ में मक़बूल नहीं और अजीरे मुश्तरक जिसे अजीरे आ़म भी कहते हैं जैसे दर्ज़ी धोबी कि यह सभी के कपड़े सीते और धोते हैं किसी के नौकर नहीं हैं काम करेंगे तो मज़दूरी पायेंगे वरना नहीं उनकी गवाही मक़बूल है। (हिदाया, बहर)

मसअ्ला.21:– मुख़न्नस (हिजड़ा) जिसके अअ्ज़ा में लचक और कलाम में नर्मी हो कि यह ख़ल्क़ी चीज़ है उसकी शहादत मक़बूल है और जो बुरे अफ़आ़ल कराता हो उसकी गवाही मरदूद यूँहीं गोया गाने वाली औ़रत उनकी गवाही मक़बूल नहीं और नोहा करने वाली जिसका पेशा हो कि दूसरे के मसाइब में जाकर नोहा करती हो उसकी गवाही मक़बूल नहीं और अपनी मुसीबत पर बे

इख़्तियार होकर सब्र न कर सकी और नोहा किया तो गवाही मक़बूल है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.22:– जो शख़्स अटकल पच्चू बातें उड़ाता हो या कस्रत से क़सम खाता हो या अपने बच्चों को या दूसरों को गाली देने का आदी हो या जानवर को ब'कसरत गाली देता हो जैसाकि तांगा गाड़ी वाले और हल जोतने वाले कि ख़्वाह'मख़्वाह जानवरों को गालियाँ देते रहते हैं उनकी गवाही मक़बूल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.23:– जो शाइर हिजो (शेर में किसी की बुराई) करता हो उसकी गवाही मक़बूल नहीं और मर्दे सालेह़ (नेक आदमी) ने ऐसा शेअ्र पढ़ा जिसमें फ़हश है तो उसकी गवाही मरदूद नहीं यूँहीं जिसने जाहिलयत के अशआर सीखे अगर यह सीखना अ़रबियत के लिये हो तो गवाही मरदूद नहीं अगर्चे उन अशआर में फ़ह़श हो। (आलमगीरी)

मसअला.24:– जिसका पेशा कफ़न और मुर्दा की ख़ुश्बू बेचने का हो कि वह इस इन्तिज़ार में रहता हो कि कोई मरे और कफ़न फ़रोख़्त हो उसकी गवाही मक़बूल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार) यहाँ हिन्दुस्तान में ऐसे लोग नहीं पाये जाते जो यह काम करते हों आम तौर पर बज़ाज़ (कपड़ा बेचने वाले) के यहाँ से कफ़न लिया जाता है और पन्सारियों के यहाँ से लोबान वग़ैरा लेते हैं। हाँ शहरों में तकियादार फ़क़ीर जो गोरकुन (क़ब्र खोदने वाले) होते हैं या गोरकुनी न भी करते हों तो चादर वग़ैरा लेना उनका काम है और उसी पर उनकी गुज़र औक़ात है उनकी निस्बत बारहा ऐसा सुना गया है यहाँ तक कि वबा के ज़माने में यह लोग कहते हैं आजकल ख़ूब सहालग (कारोबार चलने के दिन, ख़ुशी के दिन) हैं। लोगों के मरने पर यह लोग ख़ुश होते हैं ऐसे लोग क़ाबिले क़बूले शहादत नहीं।

मसअला.25:– जिसका पेशा दलाली हो वह कस्रत से झूट बोलता है उसकी गवाही मक़बूल नहीं (दुर्रेमुख़्तार) वकालत व मुख़्तारी का पेशा करने वालों की निस्बत उमूमन यह बात मशहूर है कि जान बुझकर झूट को सच करना चाहते हैं बल्कि गवाहों को झूट बोलने की तअ्लीम व तलक़ीन करते हैं।

मसअला.26:– ख़मर यानी अंगूरी शराब एक मरतबा पीने से भी फ़ासिक़ और मरदूदुश्शहादत हो जाता है (यानी उसकी गवाही क़बूल नहीं होती) और उसके एलावा दूसरी शराब पीने का आदी हो और लहव (तफ़रीह़) के तौर पर पीता हो तो उस की शहादत भी मरदूद है और अगर इलाज के तौर पर किसी ने ऐसा किया अगर्चे यह भी ना'जाइज़ है मगर इख़्तिलाफ़ की वजह से फ़िस्क़ से बच जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.27:– जानवर के साथ खेलने वाला जैसे मुर्ग़बाज़ी, कबूतर बाज़ी, बटेर बाज़ी करने वाले की गवाही मक़बूल नहीं उसी तरह मेंढा लड़ाने वाले, भैंसा लड़ाने वाले और तरह तरह के इस क़िस्म के खेल करने वाले कि उनकी भी गवाही मक़बूल नहीं हाँ अगर महज़ दिल बहलने के लिये किसी ने कबूतर पाल लिया है बाज़ी नहीं करता यानी उड़ाता न हो तो जाइज़ है मगर जबकि दूसरों के कबूतर पकड़ लेता हो जैसा कि अकस्र कबूतर बाज़ों की आदत होती है और वह उसे ऐब भी नहीं समझते यह हराम और सख़्त हराम है कि पराया माल नाहक़ लेना है। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअला.28:– जो शख़्स कबीरा का इर्तिकाब करता है बल्कि जो मज्लिसे फुजूर (गुनाह की मज्लिस) में बैठता है अगर्चे वह ख़ुद उस हराम का मुर्तकिब नहीं है उसकी भी गवाही मक़बूल नहीं है। (आलमगीरी)

मसअला.29:– हम्माम में बरहना ग़ुस्ल करने वाला, सूद ख़्वार और जुवारी और चौसर (एक क़िस्म का खेल) पच्चीसी (एक क़िस्म का खेल जो सात कौड़ियों से खेला जाता है) खेलने वाला, अगर्चे उसके साथ जुवा शामिल न हो या शतरंज के साथ जुवा खेलने वाला या उस खेल में नमाज़ फ़ौत कर देने वाला या शतरंज के साथ जुवा खेलने वाला या इस खेल में नमाज़ फ़ौत करदेने वाला या शतरन्ज रास्ते पर खेलने वाला उन सबकी गवाही मक़बूल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअला.30:– जो इबादतें वक़्ते मुअय्यन में फ़र्ज़ हैं कि वक़्त निकल जाने पर क़ज़ा हो जाती हैं जैसे नमाज़, रोज़ा अगर बिग़ैर उज़्रे शरई उनको वक़्त से मुअख़्ख़र करे फ़ासिक़ मरदूदुश्शहादत है और जिनके लिये वक़्त मुअय्यन नहीं जैसे ज़कात और हज इनमें इख़्तिलाफ़ है ताख़ीर से

मरदूदुश्शहादत होता है या नहीं स़हीह़ यह है कि नहीं होता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.31:– बिला उ़ज़्र जुमा़ तर्क करने वाला फ़ासिक़ है यानी मह़ज़ अपनी काहिली और सुस्ती से जो तर्क करे और अगर उ़ज़्र की वजह से नहीं पढ़ा मस्लन बीमार है या किसी तावील की बिना पर नहीं पढ़ता मस्लन यह कहता है कि इमाम फ़ासिक़ है उस वजह से नहीं पढ़ता हो तो यह छोड़ने वाला फ़ासिक़ नहीं। (आलमगीरी) यह उ़ज़्र उस वक़्त मस्मूअ़ होगा (यानी सुना जायेगा) कि एक ही जगह जुमा़ होता हो या कई जगह जुमा़ होता है मगर सब इमाम उसी क़िस्म के हों।

मसअ्ला.32:– मह़ज़ काहिली और सुस्ती से नमाज़ या जमाअ़त तर्क करने वाला मरदूदुश्शहादत है और अगर तर्के जमाअ़त के लिए उ़ज़्र हो मस्लन इमाम फ़ासिक़ है कि उसके पीछे नमाज़ पढ़ना मकरूह तह़रीमी है और इमाम को हटा भी नहीं सकता या इमाम गुमराह व बिदअ़ती है उस वजह से उसके पीछे नमाज़ नहीं पढ़ता घर में तनहा पढ़ लेता है तो उनकी गवाही मक़बूल है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.33:– फ़ासिक़ ने तौबा करली तो जब तक इतना ज़माना गुज़र जाये कि तौबा के आसार उसपर ज़ाहिर हो जायें उस वक़्त तक गवाही मक़बूल नहीं। और उसके लिये कोई मुद्दत नहीं है बल्कि क़ाज़ी की राय पर है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– जो शख़्स़ बुज़ुर्गाने दीन, पेशवायाने इस्लाम मस्लन स़ह़ाबा व ताबेईन रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम को बुरे अल्फ़ाज़ से एलानिया याद करता हो उसकी गवाही मक़बूल नहीं उन्हीं बुज़ुर्गाने दीन, सलफ़े स़ालिह़ीन में इमामे आ'ज़म अबूह़नीफ़ा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु भी हैं मस्लन रवाफ़िज़ कि स़ह़ाबा–ए–किराम की शान में दुश्नाम (गालियाँ) बकते हैं और ग़ैर मुक़ल्लिदीन कि अइम्मा–ए–मुज्तहेदीन खुसूसन इमामे आ'ज़म की शान में सब्ब व शितम (बुराई करना) व बेहूदागोई करते हैं। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला.35:– जो शख़्स़ ह़क़ीर व ज़लील अफ़आ़ल करता हो उसकी शहादत मक़बूल नहीं जैसे रास्ते पर पेशाब करना, रास्ते पर कोई चीज़ खाना, बाज़ार में लोगों के सामने खाना, सिर्फ़ पाजामा या तहबन्द पहनकर बिग़ैर कुर्ता पहने या बिग़ैर चादर ओढ़े गुज़रगाहे आ़म पर चलना। लोगों के सामने पाँव दराज़ करके बैठना। नंगे सर होजाना जहाँ उसको ख़फ़ीफ़ व बे'अदबी व क़िल्लते ह़या तस़व्वुर किया जाता हो (ह़या की कमी समझा जाता हो)। (आलमगीरी, हिदाया, फ़त्ह़)

मसअ्ला.36:– दो शख़्स़ों ने यह गवाही दी कि हमारे बाप ने फ़ुलाँ शख़्स़ को वस़ी मुक़र्रर किया है अगर यह शख़्स़ मुद्दई हो तो गवाही मक़बूल है। और मुन्किर हो तो मक़बूल नहीं क्योंकि क़बूल वस़ियत पर क़ाज़ी किसी को मजबूर नहीं कर सकता उसी त़रह़ मय्यित के दाइन (क़र्ज़ देने वाला) या मदयून (जिस पर क़र्ज़ हो) या मूस़ा लहू (मय्यित ने जिसके लिये वस़ियत की) ने गवाही दी कि मय्यित ने फ़ुलाँ शख़्स़ को वस़ी बनाया है तो उनकी गवाहियाँ भी मक़बूल हैं। (हिदाया)

मसअ्ला.37:– दो शख़्स़ों ने यह गवाही दी कि हमारा बाप परदेस चला गया है उसने फ़ुलाँ शख़्स़ को अपना क़र्ज़ा और दैन वस़ूल करने के लिये वकील किया है यह गवाही मक़बूल नहीं वह शख़्स़े सालिस (तीसरा शख़्स़) वकालत का मुद्दई हो या मुन्किर दोनों का एक हुक्म है और अगर उनका बाप यहीं मौजूद हो तो दअ़्वा ही मस्मूअ़ नहीं शहादत किस बात की होगी। वकील के बेटे, पोते या बाप दादा ने वकालत की गवाही दी ना'मक़बूल है। (हिदाया, फ़त्ह़, दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमहुतार)

मसअ्ला.38:– दो शख़्स़ किसी अमानत के अमीन हैं उन्होंने गवाही दी कि यह अमानत उसकी मिल्क है जिसने उनके पास रखी है गवाही मक़बूल है और अगर यह गवाही देते हैं कि यह शख़्स़ जो उस चीज़ का दअ़्वा करता है उसने ख़ुद इक़रार किया है कि अमानत रखने वाले की मिल्क है तो गवाही मक़बूल नहीं मगर जब कि उन दोनों ने अमानत उस शख़्स़ को वापस देदी हो जिसने रखी थी। (फ़त्ह़ुलक़दीर)

मसअ्ला.39:– दो मुरतहिन यह गवाही देते हैं कि मरहून शय (गिरवी रखी हुई चीज़) उसकी मिल्क है जो दअ़्वा करता है गवाही मक़बूल है और उस चीज़ के हलाक होने के बा'द यह गवाही दें तो

ना'मक़बूल है मगर उन दोनों के ज़िम्मे उस चीज़ का तावान लाज़िम होगया यानी मुद्दई को उसकी क़ीमत अदा करें कि उन दोनों ने ग़सब का ख़ुद इक़रार कर लिया और अगर मुरतहिन यह गवाही दें कि ख़ुद मुद्दई ने मिल्के राहिन का इक़रार किया था तो क़बूल नहीं अगर्चे मरहून हलाक होचुका हो हाँ अगर राहिन को वापस करने के बाद यह गवाही दें तो मक़बूल है। एक शख़्स ने मुरतहिन पर दअ्वा किया कि मरहून चीज़ मेरी है और मुरतहिन मुन्किर है और राहिन ने गवाही दी तो क़बूल नहीं मगर राहिन पर तावान लाजिम है। (फ़त्हुलक़दीर)

मसअ्ला.40:– ग़ासिब ने शहादत दी कि मग़सूब चीज़ मुद्दई की है मक़बूल नहीं मगर जब कि जिस से ग़सब की थी उसको वापस देने के बाद गवाही दी तो क़बूल है और अगर ग़ासिब के हाथ में चीज़ हलाक होगई फिर मुद्दई के हक़ में शहादत दी तो मक़बूल नहीं। (फ़त्हुलक़दीर)

मसअ्ला.41:– मुस्तक़रिज़ (क़र्ज़ लेने वाले) ने गवाही दी कि चीज़ मुद्दई की है तो गवाही मक़बूल नहीं चीज़ वापस कर चुका हो या नहीं। बैअ् फ़ासिद के साथ चीज़ ख़रीदी और क़ब्ज़ा करचुका मुश्तरी गवाही देता है कि मुद्दई की मिल्क है मक़बूल नहीं और अगर क़ाज़ी ने उस बैअ् को तोड़ दिया या ख़ुद बाइअ् व मुश्तरी ने अपनी रज़ा'मन्दी से तोड़ दिया और चीज़ अभी मुश्तरी के पास है और मुश्तरी ने मुद्दई के हक़ में गवाही दी मक़बूल नहीं और अगर मबीअ् बाइअ् को वापस कर देने के बाद मुद्दई के हक़ में गवाही देता है क़बूल है। (फ़त्हुल'क़दीर)

मसअ्ला.42:– मुश्तरी ने जो चीज़ ख़रीदी है उसके मुतअ़ल्लिक़ गवाही देता है कि मुद्दई की मिल्क है अगर्चे बैअ् का इक़ाला हो चुका हो या ऐब की वजह से बिग़ैर क़ज़ा–ए–क़ाज़ी (काज़ी के फ़ैसले के बिग़ैर) वापस हो चुकी हो गवाही मक़बूल नहीं यूंही बाइअ् ने बैअ् के बाद यह गवाही दी कि मबीअ् मिल्के मुद्दई है यह मक़बूल नहीं। अगर बैअ् को उस तरह पर रद किया गया हो जो फ़स्ख़ (ख़त्म) क़रार पाये तो गवाही मक़बूल है। (फ़त्ह)

मसअ्ला.43:– मदयून की यह गवाही कि दैन जो उसपर था वह उस मुद्दई का है मक़बूल नहीं अगर्चे दैन अदा करचुका हो। मुस्ताजिर ने गवाही दी कि मकान जो मेरे किराये में है मुद्दई की मिल्क है और मुद्दई यह कहता है कि मेरे हुक्म से यह मकान मुद्दआ'अ़लैह ने उसे किराये पर दिया था यह गवाही मक़बूल नहीं और अगर मुद्दई यह कहता है कि बिग़ैर मेरे हुक्म के दिया गया तो मक़बूल है और जो शख़्स बिग़ैर किराया मकान में रहता है उसकी गवाही मुद्दई के मुवाफ़िक़ व मुख़ालिफ़ दोनों मक़बूल। (फ़त्ह)

मसअ्ला.44:– एक शख़्स को वकील बिलख़सूमा (मुक़द्दमे का वकील) किया उसने क़ाज़ी के एलावा किसी दूसरे शख़्स के पास मुक़द्दमा पेश किया फिर मुअक्किल ने वकील को मअ्ज़ूल करके क़ाज़ी के पास पेश किया वकील ने गवाही दी यह मक़बूल है और अगर क़ाज़ी के पास वकील ने मुक़द्दमा पेश कर दिया उसके बाद वकील को मअ्ज़ूल किया तो गवाही मक़बूल नहीं। (फ़त्हुलक़दीर)

मसअ्ला.45:– वसी को क़ाज़ी ने मअ्ज़ूल करके दूसरा वसी उसके क़ाइम मक़ाम मुक़र्रर किया या वुरसा बालिग़ होगये अब वह वसी यह गवाही देता है कि मय्यित का फ़ुलाँ शख़्स पर दैन है यह गवाही ना'मक़बूल और मअ्ज़ूली से क़ब्ल की गवाही तो बदरजा–ए–ऊला ना'मक़बूल है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.46:– जो शख़्स किसी मुआमले में ख़स्म होचुका उस मुआमले में उसकी गवाही मक़बूल नहीं और जो अभी तक ख़स्म नहीं हुआ है मगर क़रीब होने के है उसकी गवाही मक़बूल है पहले की मिसाल वसी है दूसरे की मिसाल वकील बिलख़ुसूमा है जिसने क़ाज़ी के यहाँ दअ्वा नहीं किया और मअ्ज़ूल होगया। (तबईन)

मसअ्ला.47:– वकील बिल ख़ुसूमा ने क़ाज़ी के यहाँ एक हज़ार रुपये का दअ्वा किया उसके बाद मुअक्किल ने उसे मअ्ज़ूल कर दिया उसके बाद वकील ने मुअक्किल के लिये यह गवाही दी कि उसकी फ़ुलाँ शख़्स के ज़िम्मे सौ अशरफ़ियाँ हैं यह गवाही मक़बूल है कि यह दूसरा दअ्वा है जिस

में यह शख़्स वकील न था। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.48:– दो शख़्सों ने मय्यित के ज़िम्मे दैन का दअ़्वा किया उनकी गवाही दो शख़्सों ने दी फिर उन दोनों गवाहों ने उसी मय्यित पर अपने दैन का दअ़्वा किया और इन मुद्दईयों ने उनके मुवाफ़िक़ शहादत दी सब की गवाहियाँ मक़बूल हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.49:– दो शख़्सों ने गवाही दी कि मय्यित ने फ़ुलाँ और फ़ुलाँ के लिये एक हज़ार की वसियत की है और उन दोनों ने भी उन गवाहों के लिये यही शहादत दी कि मय्यित ने उनके लिये हज़ार की वसियत की है तो उनमें किसी की गवाही मक़बूल नहीं और अगर ऐन की वसियत का दअ़्वा हो और गवाहों ने शहादत दी कि मय्यित ने उस चीज़ की वसियत फ़ुलाँ व फ़ुलाँ के लिये की है और उन दोनों ने गवाहों के लिए एक दूसरी मुअ़य्यन चीज़ की वसियत करने की शहादत दी तो सब गवाहियाँ मक़बूल हैं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.50:– मय्यित ने दो शख़्सों को वसी किया इन दोनों ने एक वारिस बालिग़ के हक़ में शहादत एक अजनबी के मुक़ाबिल में दी और जिस माल के मुतअ़ल्लिक़ शहादत दी वह मय्यित का तर्का नहीं है यह गवाही मक़बूल है और अगर मय्यित का तर्का है तो गवाही मक़बूल नहीं और अगर नाबालिग़ वारिस के हक़ में शहादत हो तो मुतलक़न मक़बूल नहीं मय्यित का तर्का हो या न हो (दुर्रे)

मसअ्ला.51:– जरह मुजर्रद(यानी जिससे महज़ गवाह का फ़िस्क़ बयान करना मक़सूद हो हक़्क़ुल्लाह या हक़्क़ुलअ़ब्द का साबित करना मक़सूद न हो)उसपर गवाही नहीं हो सकती मस्लन उसकी गवाही कि यह गवाह फ़ासिक़ हैं या ज़ानी या सूदख़ोर या शराबी हैं या उन्होंने ख़ुद इक़रार किया है कि झूटी गवाही दी है या शहादत से रुजूअ़ करने का उन्होंने इक़रार किया है या इक़रार किया कि उजरत लेकर यह गवाही दी है या यह इक़रार किया है कि मुद्दई का यह दावा ग़लत़ है या यह कि उस मौक़े के हम लोग शाहिद न थे उन उमूर पर शहादत को न क़ाज़ी सुनेगा और न उसके मुतअ़ल्लिक़ कोई हुक्म देगा(हिदाया)

मसअ्ला.52:– मुद्दआ़ अ़लैह ने गवाहों से साबित किया कि गवाहों ने उजरत लेकर गवाही दी है मुद्दई ने हमारे सामने उजरत दी है यह गवाही भी मक़बूल नहीं कि यह भी जरह मुजर्रद और मुद्दई का उजरत देना अगर्चे अमरे ज़ाइद है मगर मुद्दई का इस के मुतअ़ल्लिक़ कोई दअ़्वा नहीं है कि उसपर शहादत ली जाये। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.53:– जरह मुजर्रद पर गवाही मक़बूल न होना उस सूरत में है जब दरबारे क़ाज़ी में यह शहादत गुज़रे और मख़्फ़ी तौर पर मुद्दआ़ अ़लैह ने क़ाज़ी के सामने उनका फ़ासिक़ होना बयान किया और त़लब करने पर उसने गवाह पेश कर दिये तो यह शहादत मक़बूल होगी यानी गवाहों की गवाही रद कर देगा अगर्चे उन की अ़दालत साबित हो कि जरह तअ़्दील पर मुक़द्दम है। (बहर)

मसअ्ला.54:– फ़िस्क़ के एलावा अगर गवाहों पर और किसी क़िस्म का त़अ़्न किया और उसकी शहादत पेश करदी मसलन गवाह मुद्दई का शरीक है या मुद्दई का बेटा या बाप है या अहदुज़्ज़ौजैन है या उसका मम्लूक है या हक़ीर व ज़लील अफ़आ़ल करता है उस क़िस्म की शहादत मक़बूल है(बहर)

मसअ्ला.55:– जिस शख़्स के फ़िस्क़ से आ़म तौर पर लोगों को ज़रर पहुँचता है मसलन लोगों को गालियाँ देता है या अपने हाथ से मुसलमानों को ईज़ा पहुँचाता है उसके मुतअ़ल्लिक़ गवाही देना जाइज़ है ताकि हुकूमत की त़रफ़ से ऐसे शरीर से निजात की कोई सूरत तजवीज़ हो और हक़ीक़तन यह शहादत नहीं है। (बहर)

मसअ्ला.56:– जरह अगर मुजर्रद न हो बल्कि उसके साथ किसी हक़ का तअ़ल्लुक़ हो उसपर शहादत हो सकती है मस्लन मुद्दआ़ अ़लैह ने गवाहों पर दअ़्वा किया कि मैंने उनको कुछ रुपये इस लिये दिये थे कि उस झूटे मुक़द्दमे में शहादत न दें और उन्होंने गवाही देदी लिहाज़ा मेरे रुपये वापस मिलने चाहिए या यह दावा किया कि मुद्दई के पास मेरा माल था उसने वह माल गवाहों को इस लिये देदिया कि वह मेरे ख़िलाफ़ मुद्दई के हक़ में गवाही दें मेरा वह माल उन गवाहों से

दिलाया जाये या किसी अजनबी ने गवाहों पर दअ़्वा किया कि उन लोगों को मैंने इतने रुपये दिये थे कि फुलाँ के ख़िलाफ़ गवाही न दें मेरे रुपये वापस दिलाये जायें और यह बात मुद्दआ अ़लैह ने गवाहों से साबित करदी या उन्होंने खुद इक़रार करलिया या क़सम से इन्कार किया वह माल उन गवाहों से दिलाया जायेगा और उसी ज़िम्न में उनके फ़िस्क़ का भी हुक्म होगा। और जो गवाही यह दे चुके हैं रद होजायेगी और अगर मुद्दआ अ़लैह ने महज़ इतनी बात कही कि मैंने उनको इस लिये रुपये दिये थे कि गवाही न दें और माल का मुतालबा नहीं करता तो उस पर शहादत नहीं ली जायेगी कि यह जरह मुजर्रद है। (हिदाया, फ़त्हुलक़दीर, बहर)

मसअ्ला.57:– मुद्दई ने यह इक़रार किया है कि गवाहों को उसने उजरत दी है या इक़रार किया है कि वह फ़ासिक़ हैं या इक़रार किया कि उन्होंने झूटी गवाही दी है उसपर शहादत हो सकती है(हिदाया)

मसअ्ला.58:– गवाहों पर यह दअ़्वा कि उन्होंने चोरी की है या शराब पी है या ज़िना किया है उसपर शहादत ली जायेगी कि यह जरह मुजर्रद नहीं उसके साथ हक़्क़ुल्लाह का तअ़ल्लुक़ है यानी अगर सुबूत होगा तो हद क़ाइम होगी और उसी के साथ वह गवाही जो दे चुके हैं रद कर दी जायेगी। (फ़त्हुलक़दीर)

मसअ्ला.59:– गवाह ने गवाही दी और अभी वहीं क़ाज़ी के पास मौजूद है बाहर नहीं गया है और कहता है कि गवाहों में मुझे कुछ ग़ल्ती होगई उस कहने से उस की गवाही बातिल न होगी बल्कि अगर वह आ़दिल है तो गवाही मक़बूल है ग़ल्ती अगर उस क़िस्म की है जिससे शहादत में कोई फ़र्क़ नहीं आता यानी जिस चीज़ के मुतअ़ल्लिक़ शहादत है उसमें कुछ कमी बेशी नहीं होती मस्लन यह लफ़्ज़ भूल गया था कि मैं गवाही देता हूँ तो बाहर से आकर भी यह कह सकता है उसकी वजह से मुत्तहम नहीं किया जा सकता और वह ग़ल्ती जिससे फ़र्क़ पैदा होता है उसकी दो सूरतें हैं जो कुछ पहले कहा था उससे अब ज़ाइद बताता है या कम कहता है मसलन पहले बयान में एक हज़ार कहा था अब डेढ़ हज़ार कहता है या पाँचसौ कमी बताता है यानी जितना पहले कहा था अब उससे कम कहता है यानी मुद्दई के मुद्दआ अ़लैह के ज़िम्मे पाँचसौ हैं उस सूरत में हुक्म यह है कि कम करने के बाद जो कुछ बचे उसका फ़ैसला होगा और ज़्यादा बताता हो यानी कहता है बजाये डेढ़ हज़ार के मेरी ज़बान से हज़ार निकल गया उस की दो सूरतें हैं मुद्दई का दअ़्वा डेढ़ हज़ार का है या हज़ार का अगर मुद्दई का दावा डेढ़ हज़ार का है तो यह ज़्यादत मक़बूल है वरना नहीं। (फ़त्ह, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.60:– हुदूद या नसब में ग़ल्ती की मस्लन शरक़ी हद (पूर्वी हद) की जगह ग़रबी (पश्चिमी) बोल गया या मुहम्मद उ़मर इब्ने अ़ली की जगह मुहम्मद अ़ली इब्ने उ़मर कह दिया और उसी मज्लिस में उस ग़ल्ती की तस्हीह करदी तो गवाही मोअ़्तबर हो जायेगी। (हिदाया)

मसअ्ला.61:– शहादते क़ासिरा जिसमें बाज़ ज़रूरी बातें ज़िक्र करने से रह गई उसकी तकमील दूसरे ने करदी यह गवाही मोअ़्तबर है मस्लन एक मकान के मुतअ़ल्लिक़ गवाही गुज़री कि यह मुद्दई की मिल्क है मगर गवाहों ने यह नहीं बताया कि वह मकान उस वक़्त मुद्दआ अ़लैह के क़ब्ज़े में है मुद्दई ने दूसरे गवाहों से मुद्दआ अ़लैह का क़ब्ज़ा साबित करदिया गवाही मोअ़्तबर होगई या गवाहों ने एक महदूद शय में मिल्क की शहादत दी और हुदूद ज़िक्र नहीं किये दूसरे गवाहों से हुदूद साबित किये गवाही मोअ़्तबर होगई। या एक शख़्स के मुक़ाबिल में नाम व नसब के साथ शहादत दी और मुद्दआ अ़लैह को पहचाना नहीं दूसरे गवाहों से यह साबित किया कि जिसका यह नाम व नसब है वह यह शख़्स है गवाही मोअ़्तबर होगई। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.62:– एक गवाह ने गवाही दी बाक़ी गवाह यूँ गवाही देते हैं कि जो उसकी गवाही है वही हमारी शहादत है यह मक़बूल नहीं बल्कि उनको भी वह बातें कहनी होंगी जिनकी गवाही देना चाहते हैं।

मसअ्ला.63:– नफ़ी की गवाही नहीं होती यानी मस्लन यह गवाही दी कि उसने बैअ़् नहीं की है या इक़रार नहीं किया है ऐसी चीज़ों को गवाहों से नहीं साबित कर सकते। नफ़ी सूरतन हो या मअ़्नन

दोनों का एक हुक्म है मस्लन वह नहीं था या ग़ाइब था कि दोनों का ह़ासिल एक है। गवाह को यक़ीनी तौर पर नफ़ी का इल्म हो या न हो बहर ह़ाल गवाही नहीं दे सकता मस्लन गवाहों ने यह गवाही दी कि ज़ैद ने अ़म्र के हाथ यह चीज़ बैअ़् की है अब यह गवाही नहीं दी जा सकती कि ज़ैद तो वहाँ था ही नहीं हाँ अगर नफ़ी मुतवातिर हो सब लोग जानते हों कि वह उस जगह या उस वक़्त मौजूद न था तो नफ़ी की गवाही सह़ीह़ है कि दअ़्वा ही मसमूअ़् न होगा(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.64:– शहादत का जब एक जुज़ बातिल होगया तो कुल शहादत बातिल होगई यह नहीं कि एक जुज़ सह़ीह़ हो और एक जुज़ बातिल मगर बाज़ सूरतें ऐसी हैं कि एक जुज़ सह़ीह़ और एक जुज़ बातिल मस्लन एक ग़ुलाम मुश्तरक है उसका मालिक एक मुस्लिम और एक नसरानी है दो नसरानियों ने शहादत दी कि उन दोनों ने ग़ुलाम को आज़ाद करदिया नसरानी के ख़िलाफ़ में गवाही सह़ीह़ है यानी उसका हिस्सा आज़ाद और मुसलमान का हिस्सा आज़ाद न होगा।(दुर्रेमुख़्तार)

शहादत में इख़्तिलाफ़ का बयान

इख़्तिलाफ़े शहादत के मसाइल की बिना चन्द उसूल पर है **1.हुक़ूक़ुलइबाद** में शहादत के लिये दअ़्वा ज़रूरी है यानी जिस बात पर गवाही गुज़री मुद्दई ने उसका दअ़्वा नहीं किया है यह गवाही मोअ़्तबर नहीं कि ह़क़्क़ुल अ़बद का फ़ैसला बिग़ैर मुतालबा नहीं किया जा सकता और यहाँ मुतालबा नहीं और हुक़ूक़ुल्लाह में दअ़्वे की ज़रूरत नहीं कि क्योंकि हर शख़्स के ज़िम्मे उसका इस्बात है गोया दअ़्वा मौजूद है **2.गवाहों ने** उस से ज़्यादा बयान किया जितना मुद्दई दअ़्वा करता है तो गवाही बातिल है और कम बयान किया तो मक़बूल है और उतने ही का फ़ैसला होगा जितना गवाहों ने बयान किया **3.मिल्के मुतलक़** मिल्के मुक़य्यद से ज़्यादा है कि वह अस्ल से साबित होती है और मुक़य्यद वक़्ते सबब से मोअ़्तबर होगी **4.दोनों शहादतों** में लफ़्ज़न व मअ़्नन हर तरह इत्तिफ़ाक़ होना ज़रूरी है और शहादत व दअ़्वा में बा एअ़्तिबार मअ़्ना मुत्तफ़िक़ होना ज़रूर है लफ़्ज़ के मुख़्तलिफ़ होने का एअ़्तिबार नहीं। (दुरर)

मसअ्ला.1:– मुद्दई ने मिल्के मुतलक़ का दअ़्वा किया यानी कहता है कि यह चीज़ मेरी है यह नहीं बताया कि किस सबब से है मस्लन ख़रीदी है या किसी ने हिबा की है और गवाहों ने मिल्के मुक़य्यद बयान की यानी सबबे मिल्क का इज़हार किया मस्लन मुद्दई ने ख़रीदी है यह गवाही मक़बूल है और उसका अ़क्स हो यानी मुद्दई ने मिल्के मुक़य्यद का दअ़्वा किया और गवाहों ने मिल्के मुतलक़ बयान की यह गवाही मक़बूल नहीं बशर्ते कि मुद्दई ने यह बयान किया कि मैंने फ़ुलाँ शख़्स से ख़रीदी है और बाइअ़् को उस तरह बयान करदे कि उसकी शनाख़्त हो जाये और ख़रीदने के साथ क़ब्ज़ा का ज़िक्र न करे और अगर दअ़्वे में बाइअ़् का ज़िक्र नहीं या यह कि मैंने एक शख़्स से ख़रीदी है या यह कि मैंने अ़ब्दुल्लाह से ख़रीदी है या ख़रीदने के साथ दअ़्वे में क़ब्ज़ा का भी ज़िक्र है और गवाहों ने इन सूरतों में मिल्के मुतलक़ की शहादत दी तो मक़बूल है(दुर्रेमुख़्तार, बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.2:– यह इख़्तिलाफ़ उस वक़्त मोअ़्तबर है जब उस शय के लिए मुतअ़द्दिद अस्बाब हों और अगर एक ही सबब हो मस्लन मुद्दई ने दअ़्वा किया कि यह मेरी औ़रत है मैंने उससे निकाह़ किया है गवाहों ने बयान किया कि उसकी मनकूह़ा है शहादत मक़बूल है। (बहर)

मसअ्ला.3:– मुद्दई ने अपनी मिल्क का सबब मीरास बताया कि विरासतन मैं उसका मालिक हूँ या मुद्दई ने कहा कि यह जानवर मेरे घर का बच्चा है और गवाहों ने मिल्के मुतलक़ की शहादत दी यह गवाही मक़बूल है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– वदीअ़त (अमानत) का दअ़्वा किया कि मैंने यह चीज़ फ़ुलाँ के पास वदीअ़त रखी है गवाहों ने बयान किया कि मुद्दआ़ अ़लैह ने हमारे सामने इक़रार किया है कि यह चीज़ मेरे पास फ़ुलाँ की अमानत है यूँही ग़सब या आ़रियत का दअ़्वा किया और गवाहों ने मुद्दआ़ अ़लैह के इक़रार की शहादत दी या निकाह़ का दअ़्वा किया और गवाहों ने इक़रारे निकाह़ की गवाही दी या दैन का

दअ्वा किया और गवाही यह दी कि मुद्दआ अलैह ने अपने ज़िम्मे उसके माल का इक़रार किया है या क़र्ज़ का दअ्वा है और गवाही यह हुई कि अपने ज़िम्मे माल का इक़रार किया है और सबब कुछ नहीं बयान किया उन सब सूरतों में गवाही मक़बूल है। बैअ् का दअ्वा किया और इक़रारे बैअ् की शहादत गुज़री गवाही मक़बूल है। दअ्वा यह है कि मेरे दस मन गेहूँ फ़ुलाँ शख़्स पर बैअ् सलम की रु से वाजिब हैं और गवाहों ने यह बयान किया कि मुद्दआ'अलैह ने अपने ज़िम्मे दस मन गेहूँ का इक़रार किया है यह गवाही मक़बूल नहीं। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.5:– दोनों गवाहों के बयान में लफ़्ज़न व मअ्नन इत्तिफ़ाक़ हो उसका मतलब यह है कि दोनों लफ़्ज़ों के एक मअ्ना हों यह न हो कि हर लफ़्ज़ के जुदा जुदा मअ्ना हों और एक दूसरे में दाख़िल हों मस्लन एक ने कहा दो रुपये दूसरे ने कहा चार रुपये यह इख़्तिलाफ़ होगया कि दो और चार के अलग अलग मअ्ने हैं यह नहीं कहा जायेगा कि चार में दो भी हैं लिहाज़ा दो रुपये पर दोनों गवाहों का इत्तिफ़ाक़ होगया और अगर लफ़्ज़ दो हैं मगर दोनों के मअ्ना एक हैं तो यह इख़्तिलाफ़ नहीं मस्लन एक ने कहा हिबा दूसरे ने कहा अतिया या एक ने कहा निकाह दूसरे ने कहा तज़वीज यह इख़्तिलाफ़ नहीं और गवाही मोअ्तबर है। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– एक गवाह ने दो हज़ार रुपये बताये दूसरे ने एक हज़ार या एक ने दो सौ दूसरे ने एक सौ या एक ने कहा एक तलाक़ या दो तलाक़ दूसरे ने कहा तीन तलाक़ें दीं यह गवाहियाँ रद करदी जायेंगी कि दोनों में इख़्तिलाफ़ होगया या एक ने कहा मुद्दआ'अलैह ने ग़सब किया दूसरे ने कहा ग़सब का इक़रार किया एक ने कहा क़त्ल किया दूसरे ने कहा क़त्ल का इक़रार किया दोनों ना'मक़बूल हैं और अगर दोनों इक़रार की शहदात देते क़बूल होती। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– जब क़ौल व फ़ेअ्ल का इज्तिमाअ् होगा यानी एक गवाह ने क़ौल बयान किया दूसरे ने फ़ेअ्ल तो गवाही मक़बूल न होगी मस्लन एक ने कहा ग़सब किया दूसरे ने कहा ग़सब का इक़रार किया दूसरी मिसाल यह है कि मुद्दई ने एक शख़्स पर हज़ार रुपये का दअ्वा किया एक गवाह ने मुद्दई का देना बयान किया दूसरे ने मुद्दआ'अलैह का इक़रार करना बयान किया यह ना'मक़बूल है अलबत्ता जिस मक़ाम पर क़ौल व फ़ेअ्ल दोनों लफ़्ज़ में मुत्तहिद हों मस्लन एक ने बैअ् या क़र्ज़ या तलाक़ या एताक़ की शहादत दी दूसरे ने उनके इक़रार की शहदात दी कि उन सब में दोनों के लिये एक लफ़्ज़ है यानी यह लफ़्ज़ कि मैंने तलाक़ दी तलाक़ देना भी है और इक़रार भी उसी तरह सब में लिहाज़ा फ़ेअ्ल व क़ौल का इख़्तिलाफ़ उनमें मोअ्तबर नहीं दोनों गवाहियाँ मक़बूल हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– एक ने गवाही दी कि तलवार से क़त्ल किया दूसरे ने बताया कि छुरी से यह गवाही मक़बूल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– एक ने गवाही दी एक हज़ार की दूसरे ने एक हज़ार और एक सौ की और मुद्दई का दअ्वा ग्यारह सौ का हो तो एक हज़ार की गवाही मक़बूल है कि दोनों उसमें मुत्तफ़िक़ हैं और अगर दअ्वा सिर्फ़ हज़ार का है तो नहीं मगर जब कि मुद्दई कहदे कि था तो एक हज़ार एक सौ मगर एक सौ उसने देदिया या मैंने मुआफ़ करदिया जिसका इल्म उस गवाह को नहीं तो अब क़बूल है। (दुर्रेमुख़्तार) अगर गवाह ने एक हज़ार एक सौ की जगह ग्यारह सौ कहा तो इख़्तिलाफ़ होगया कि लफ़्ज़न दोनों मुख़्तलिफ़ हैं।

मसअ्ला.10:– एक गवाह ने दो मुअय्यन चीज़ की शहादत दी और दूसरे ने उनमें से एक मुअय्यन की तो जिस एक मुअय्यन पर दोनों का इत्तिफ़ाक़ हुआ उसके मुतअ़ल्लिक़ गवाही मक़बूल है और अगर अक़्द में यही सूरत हो मस्लन एक ने कहा यह दोनों चीज़ें मुद्दई ने ख़रीदी हैं और एक ने एक मुअय्यन की निस्बत कहा कि यह ख़रीदी है तो गवाही मक़बूल नहीं या समन में इख़्तिलाफ़ हुआ एक कहता है एक हज़ार में ख़रीदी है दूसरा एक हज़ार एक सौ बताता है तो अक़्द साबित न

होगा कि मबीअ् या समन के मुख़्तलिफ़ होने से अक़्द मुख़्तलिफ़ होजाता है और अक़्द के दअ्वा में समन का ज़िक्र करना ज़रूरी है क्योंकि बिग़ैर समन के बैअ् नहीं हो सकती हाँ अगर गवाह यह कहें कि बाइअ् ने इक़रार किया है कि मुश्तरी ने यह चीज़ ख़रीदी और समन अदा कर दिया है तो मिक़दारे समन के ज़िक्र की हाजत नहीं क्योंकि उस सूरत में फ़ैसले का तअ़ल्लुक़ अक़्द से नहीं है बल्कि मुश्तरी के लिए मिल्क साबित नहीं क्योंकि उस सूरत में फ़ैसले का तअ़ल्लुक़ अक़्द से नहीं है बल्कि मुश्तरी के लिये मिल्क साबित करना है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– मुद्दई ने पाँचसौ का दअ्वा किया और गवाहों ने एक हज़ार की शहादत दी मुद्दई ने बयान किया कि था तो एक हज़ार मगर पाँचसौ मुझे वसूल होगये फ़ौरन कहा हो या कुछ देर के बाद गवाही मक़बूल है और अगर यह कहा कि मुद्दआ अ़लैह के ज़िम्मे पाँचसौ थे तो शहादत बातिल है। (ख़ानिया)

मसअ्ला.12:– राहिन (अपनी चीज़ गिरवी रखने वाले) ने दअ्वा किया और गवाहों ने ज़रे रहिन (वह रूपया जिसके लिये कोई चीज़ रहन रखी जाये) में इख़्तिलाफ़ किया एक ने एक हज़ार बताया दूसरे ने एक हज़ार एक सौ और राहिन ज़ाइद का मुद्दई है या कम का बहर हाल शहादत मोअ्तबर नहीं कि मक़सूद इस्बाते अक़्द है और अगर मुरतहिन मुद्दई हो और गवाहों में इख़्तिलाफ़ हो और मुरतहिन (जिसके पास रहन रखा जाये) ज़ाइद का मुद्दई हो तो गवाही मोअ्तबर है यानी एक हज़ार की रक़म पर दोनों का इत्तिफ़ाक़ है उसी का फ़ैसला होजायेगा और अगर मुरतहिन ने कम यानी एक हज़ार ही का दअ्वा किया है तो गवाही मोअ्तबर नहीं। खुलअ् में अगर औ़रत मुद्दई हो और गवाहों में इख़्तिलाफ़ हो तो गवाही मोअ्तबर नहीं और अगर शौहर मुद्दई हो तो ज़ियादत की सूरत में मोअ्तबर है जैसा दैन का हुक्म है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.13:– इजारे का दअ्वा है और गवाहों के बयान में उजरत की मिक़दार में उसी क़िस्म का इख़्तिलाफ़ हुआ उसकी चार सूरतें हैं मुस्ताजिर मुद्दई है या मूजिर। इब्तिदा–ए–मुद्दत इजारा में दअ्वा है या ख़त्म मुद्दत के बाद अगर इब्तिदा–ए–मुद्दत में दअ्वा हुआ है गवाही मक़बूल नहीं कि उस सूरत में मक़सूद इस्बाते अक़्द है और ज़माना–ए–इजारा ख़त्म होने के बाद दअ्वा हुआ है और मूजिर मुद्दई है तो गवाही मक़बूल है और मुस्ताजिर मुद्दई है तो मक़बूल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.14:– निकाह का दअ्वा है और गवाहों ने मिक़दारे महर में उसी क़िस्म का इख़्तिलाफ़ किया तो निकाह साबित होजायेगा और कम मिक़दार मसलन एक हज़ार महर क़रार पायेगा मर्द मुद्दई हो या औ़रत। दअ्वे में महर कम बताया हो या ज़्यादा सब का एक हुक्म है क्योंकि यहाँ माल मक़सूद नहीं जो चीज़ मक़सूद है यानी निकाह उसमें दोनों मुत्तफ़िक़ हैं लिहाज़ा यह इख़्तिलाफ़ मोअ्तबर नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

नोटः– इस मसअ्ला में कम मिक़दार महर की एक हज़ार लिखी है मगर कम मिक़दार दस दिरहम है और दस दिरहम के जितने रूपये होंगे वही महर की कम मिक़दार क़रार दी जायेगी। (अमीनुल क़ादरी)

मसअ्ला.15:– मीरास का दअ्वा हो मसलन ज़ैद ने अ़म्र पर यह दअ्वा किया कि फ़ुलाँ चीज़ जो तुम्हारे पास है यह मेरे बाप की मीरास् है उसमें गवाहों का मिल्के मूरिस् (वारिस् बनाने वाले की मिल्कियत) साबित कर देना काफ़ी नहीं है बल्कि यह कहना पड़ेगा कि वह शख़्स मरा और उस चीज़ को तर्का में छोड़ा या यह कहना होगा कि वह शख़्स मरते वक़्त उस चीज़ का मालिक था या यह चीज़ मौत के वक़्त उसके क़ब्ज़े में या उसके क़ाइम मक़ाम के क़ब्ज़े में थी मसलन जब मरा था यह चीज़ उसके मुस्ताजिर के पास या मुस्तईर (आ़रियतन लेने वाला) या अमीन या ग़ासिब (नाजायज़ क़ब्ज़ा करने वाला) के हाथ में थी कि जब मूरिस का क़ब्ज़ा ब'वक़्ते मौत साबित होगया तो यह क़ब्ज़ा मालिकाना ही क़रार पायेगा क्योंकि मौत के वक़्त का क़ब्ज़ा क़ब्ज़ा–ए–ज़मान है अगर क़ब्ज़ा–ए–ज़मान न होता तो ज़ाहिर कर देता उसका ज़ाहिर न करना कि यह चीज़ फ़ुलाँ की मेरे पास अमानत है क़ब्ज़ा–ए–ज़मान कर देता है और जब मूरिस् की मिल्क हुई तो वारिस की तरफ़ मुन्तक़िल ही होगी। (दुर्रेमुख़्तार, बहर)

मसअ्ला.16:– मीरास् के दावे में गवाहों को सबबे विरासत भी बयान करना होगा फ़क़त इतना कहना काफ़ी न होगा कि यह उसका वारिस् है बल्कि मस्लन यह कहना होगा कि उसका भाई है और जब भाई बता चुका तो यह बताना भी होगा कि हक़ीक़ी भाई है या अ़ल्लाती है या अख़्याफ़ी। (बहर)

मसअ्ला.17:– गवाह को यह भी बताना होगा कि उसके सिवा मय्यित का कोई वारिस् नहीं है या यह कहे कि उसके सिवा कोई दूसरा वारिस् मैं नहीं जानता उसके बाद क़ाज़ी नसबनामा पूछेगा ताकि मालूम होसके कोई दूसरा वारिस् है या नहीं। (बहर)

मसअ्ला.18:– यह भी ज़रूरी है कि गवाहों ने मय्यित को पाया हो अगर यह बयान किया कि फ़ुलाँ शख़्स मरगया और यह मकान तर्का में छोड़ा और ख़ुद उन गवाहों ने मय्यित को नहीं पाया है तो यह गवाही बातिल है। मय्यित का नाम लेना ज़रूर नहीं अगर यह कह दिया कि उस मुद्दई का बाप या उसका दादा जब भी गवाही मक़बूल है। (दुर्रेमुख़्तार, बहर)

मसअ्ला.19:– गवाहों ने गवाही दी कि यह मर्द उस औ़रत का जो मरगई है शौहर है या यह औ़रत उस मर्द की ज़ौजा है जो मरगया और हमारे इल्म में मय्यित का कोई दूसरा वारिस् नहीं है औ़रत के तर्का से शौहर को निस्फ़ देदिया जाये और शौहर के तर्का से औ़रत को चौथाई दी जाये और अगर गवाहों ने फ़क़त इतना ही कहा है कि यह उसका शौहर है या यह उसकी बीवी है तो यह हिस़्सा यानी निस्फ़ व चहारुम न दिया जाये क्योंकि हो सकता है कि मय्यित की औलाद हो और उस सूरत में ज़ौज व ज़ौजा को हिस़्सा कम मिलेगा लिहाज़ा एक ह़द तक क़ाज़ी इन्तिज़ार करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.20:– एक शख़्स ने मकान का दअ़्वा किया गवाहों ने यह गवाही दी कि एक महीना हुआ मुद्दई के क़ब्ज़े में है यह गवाही मक़बूल नहीं और अगर यह कहें कि मुद्दई की मिल्क में है तो मक़बूल है या कहदें कि मुद्दई से मुद्दआ अ़लैह ने छीन लिया जब भी मक़बूल। (हिदाया) माहसल यह है कि ज़माना–ए–गुज़श्ता की मिल्क पर शहादत मक़बूल है और ज़माना–ए–गुज़श्ता में ज़िन्दा का क़ब्ज़ा साबित होना मिल्क के लिये काफ़ी नहीं है और मौत के वक़्त क़ब्ज़ा होना मिल्कियत की दलील है।

मसअ्ला.21:– मुद्दआ अ़लैह ने ख़ुद मुद्दई के क़ब्ज़े का इक़रार किया या उसका इक़रार करना गवाहों से साबित होगया तो चीज़ मुद्दई को दिलादी जायेगी। (हिदाया) मुद्दआ अ़लैह ने कहा कि मैंने यह चीज़ मुद्दई से छीनी है क्योंकि यह मेरी मिल्क है मुद्दई छीनने से इन्कार करता है तो उसको नहीं मिलेगी कि इक़रार को रद करदिया और मुद्दई तस्दीक़ करता हो तो मुद्दई को दिलाई जायेगी और क़ब्ज़ा मुद्दई का माना जायेगा लिहाज़ा उसके मुक़ाबिल में जो शख़्स है वह गवाह पेश करे या उससे ह़लफ़ लिया जाये। (बहर)

मसअ्ला.22:– मुद्दआ अ़लैह इक़रार करता है कि चीज़ मुद्दई के हाथ में ना'हक़ तरीक़े से थी यह क़ब्ज़ा–ए–मुद्दई का इक़रार होगया। और जायदाद ग़ैर मन्कूला में क़ब्ज़ा–ए–मुद्दई के लिए इक़रारे मुद्दआ अ़लैह काफ़ी नहीं बल्कि मुद्दई गवाहों से साबित करे या क़ाज़ी को ख़ुद इल्म हो। (बहर)

मसअ्ला.23:– गवाहों के बयानात में अगर तारीख़ व वक़्त का इख़्तिलाफ़ होजाये या जगह में इख़्तिलाफ़ हो बाज़ सूरतों में इख़्तिलाफ़ का लिहाज़ करके गवाही क़बूल नहीं करते और बाज़ सूरतों में इख़्तिलाफ़ का लिहाज़ नहीं करते गवाही क़बूल करते हैं बैअ़ व शिरा (ख़रीद व फ़रोख़्त) व तलाक़ इत्क़ (ग़ुलाम आज़ाद करना) वकालत, वसियत, दैन, बराअत (क़र्ज़ मुआफ़ करना) किफ़ाला, हवाला, क़ज़फ़ उन सब में गवाही क़बूल है और ख़ियानत, ग़सब, क़त्ल, निकाह, रिहन, हिबा, सदक़ा में इख़्तिलाफ़ हुआ तो गवाही मक़बूल नहीं। उसका क़ायदा कुल्लिया यह है कि जिस चीज़ की शहादत दी जाती है वह क़ौल है या फ़ेअ़्ल अगर क़ौल है जैसे बैअ़ व तलाक़ वग़ैरा उनमें वक़्त और जगह का इख़्तिलाफ़ मोअ़तबर नहीं यानी गवाही मक़बूल है हो सकता है कि वह लफ़्ज़ बार बार कहे गये लिहाज़ा वक़्त और जगह के बयान में इख़्तिलाफ़ पैदा होगया और अगर मशहूद'बिह (जिस चीज़ के मुतअ़ल्लिक़ गवाही दी गई) फ़ेअ़्ल है जैसे ग़सब व जनायत या मशहूद'बिह क़ौल है मगर उसकी सेहत के लिए फ़ेअ़्ल शर्त है जैसे निकाह कि यह ईजाब व

क़बूल का नाम है जो क़ौल है मगर गवाहों का वहाँ हाज़िर होना कि यह फ़ेअ़्ल है निकाह के लिये शर्त है या वह ऐसा अ़क़्द हो जिसकी तमामियत (मुकम्मल होना) फ़ेअ़्ल से हो जैसे हिबा उनमें गवाहों का यह इख़्तिलाफ़ मुज़िर है गवाही मोअ़्तबर नहीं। (बह़रुर्राइक़)

मसअ्ला.24:– एक शख़्स ने गवाही दी कि ज़ैद ने अपनी ज़ौजा को 10 ज़िल्हिज्जा को मक्का में त़लाक़ दी और दूसरे ने यह गवाही दी कि उसी तारीख़ में बीवी को ज़ैद ने कूफ़ा में त़लाक़ दी यह गवाही बात़िल है कि दोनों में एक यक़ीनन झूटा है और अगर दोनों की एक तारीख़ नहीं बल्कि दो तारीख़ें हैं और दोनों में इतने दिन का फ़ासिला है कि ज़ैद वहाँ पहुँच सकता है तो गवाही जाइज़ है यूंही अगर गवाहों ने दो मुख़्तलिफ़ बीबियों के नाम लेकर त़लाक़ देना बयान किया और तारीख़ एक है मगर एक को मक्का में त़लाक़ देना दूसरी को कूफ़ा में उसी तारीख़ में त़लाक़ देना बयान किया यह भी मक़बूल नहीं।

मसअ्ला.25:– एक ज़ौजा के त़लाक़ देने के गवाह पेश हुए कि ज़ैद ने अपनी उस ज़ौजा को मक्का में फ़ुलाँ तारीख़ को त़लाक़ दी और क़ाज़ी ने हुक्मे त़लाक़ देदिया उसके बा'द दो गवाह दूसरे पेश होते हैं जो उसी तारीख़ में ज़ैद का दूसरी ज़ौजा को कूफ़ा में त़लाक़ देना बयान करते हैं उन गवाहों की त़रफ़ क़ाज़ी इल्तिफ़ात भी न करेगा (तवज्जोह नहीं देगा)। (बह़रुर्राइक़)

मसअ्ला.26:– औलिया–ए–मक़्तूल (क़त्ल किये गये शख़्स के घर वालों) ने गवाह पेश किये कि उसी ज़ख़्म से मरा और ज़ख़्मी करने वाले ने गवाह पेश किये कि ज़ख़्म अच्छा होगया था या दस रोज़ के बा'द मरा औलिया के गवाह को तरजीह है। (दुर्रेमुख़्तार बह़र)

मसअ्ला.27:– वसी ने यतीम का माल बेचा यतीम ने बालिग़ होकर यह दअ़्वा किया कि ग़बन (टोटे) के साथ माल बैअ़् किया गया और मुश्तरी ने गवाह क़ाइम किये कि वाजिबी क़ीमत पर फ़रोख़्त किया गया ग़बन के गवाह को तरजीह होगी। मर्द ने औ़रत से ख़ुलअ़् (पैसा देकर त़लाक़ लेना) किया उसके बा'द मर्द ने गवाहों से स़ाबित किया कि ख़ुलअ़् के वक़्त में मजनून था और औ़रत ने गवाह पेश किये कि आ़क़िल था औ़रत के गवाह मक़बूल हैं बाइअ़् ने गवाह पेश किये कि नाबालिग़ी में उसने बेचा था और मुश्तरी ने स़ाबित किया कि वक़्ते बैअ़् बालिग़ था मुश्तरी के गवाह मोअ़्तबर हैं। एक शख़्स ने वारिस़ के लिए इक़रार किया मुक़िर'लहू यह कहता है कि ह़ालते स़ेह़त में इक़रार किया था दीगर वुरसा कहते हैं कि मरज़ में इक़रार किया था गवाह मुक़िर'लहू के मोअ़्तबर हैं और उसके पास गवाह न हों तो वुरस़ा का क़ौल क़सम के साथ मोअ़्तबर है। बैअ़् व सुलह़ व इक़रार में इक्राह (ज़बरदस्ती करना) और ग़ैर इकराह दोनों में क़सम के गवाह पेश हुए तो गवाहे इकराह औला हैं। बाइअ़् व मुश्तरी (बेचने वाला व ख़रीदार) बैअ़् की स़ेह़त व फ़साद में मुख़्तलिफ़ हैं तो क़ौल उसका मोअ़्तबर है जो मुद्दई–ए–स़ेह़त है और गवाह उसके मोअ़्तबर हैं जो मुद्दई–ए–फ़साद हो। (बह़रुर्राइक़)

मसअ्ला.28:– दो शख़्सों ने शहादत दी कि उसने गाय चुराई है मगर एक ने उस गाय का रंग स्याह बताया दूसरे ने सफ़ेद और मुद्दई ने रंग के मुतअ़ल्लिक़ कुछ नहीं बयान किया है तो गवाही मक़बूल है और अगर मुद्दई ने कोई रंग मुतअ़य्यन कर दिया है तो गवाही मक़बूल नहीं और अगर एक गवाह ने गाय का इख़्तिलाफ़ किया तो शहादत मरदूद है। (हिदाया, बह़र)

मसअ्ला.29:– ज़िन्दा आदमी के दैन की शहादत दी कि उसके ज़िम्मे इतना दैन था गवाही मक़बूल है हाँ अगर मुद्दआ़ अ़लैह ने सुवाल किया कि बताओ अब भी है या नहीं गवाहों ने यह कहा हमें यह नहीं मा'लूम तो गवाही मक़बूल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.30:– मुद्दई ने यह दअ़्वा किया कि यह चीज़ मेरी मिल्क थी और गवाहों ने बयान किया कि उसकी मिल्क है यह गवाही मक़बूल नहीं यूंही अगर गवाहों ने भी ज़माना–ए–गुज़श्ता में मिल्क होना बताया कि उसकी मिल्क थी जब भी मोअ़्तबर नहीं कि मुद्दई का यह कहना मेरी मिल्क थी बताता है कि अब उसकी मिल्क नहीं है क्योंकि अगर उस वक़्त भी उसकी मिल्क होती तो यह न कहता कि मिल्क थी। और अगर मुद्दई ने दअ़्वा किया है कि मेरी मिल्क है और गवाहों ने

ज़माना–ए–गुज़ ता की तरफ़ निस्बत की तो मक़बूल है क्योंकि पहले मिल्क होना मालूम है और उस वक़्त भी उसी की मिल्क है यह गवाहों को उसी बिना पर मालूम हुआ कि वही पहली मिल्क चली आई है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.31:– मुद्दई ने दअ्वा किया कि यह मकान जिस हुदूद दस्तावेज़ में मकतूब (लिखे हुए) हैं मेरा है और गवाहों ने यह गवाही दी कि वह मकान जिसके हुदूद दस्तावेज़ में लिखे हैं मुद्दई का है यह दअ्वा और शहादत दोनों सहीह हैं अगरचे हुदूद को तफ़सील के साथ खुद न बयान किया हो यूंही अगर यह शहादत दी कि जो माल उस दस्तावेज़ में लिखा है वह मुद्दआ अलैह के ज़िम्मे है और तफ़सील नहीं बयान की गवाही मक़बूल है! यूंही मकान मुतनाज़ेअ् फ़ी (यानी ऐसा मकान जिसकी मिल्कियत के मुतअ़ल्लिक़ फ़रीक़ैन में इख़्तिलाफ़ हो) के मुतअ़ल्लिक़ गवाही दी कि वह मुद्दई का है मगर उसके हुदूद नहीं बयान किये अगर फ़रीक़ैन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि गवाह की शहादत मुतनाज़ेअ् फ़ी के ही मुतअ़ल्लिक़ है गवाही मक़बूल है। (रद्दुलमुहतार)

शहादत अ़लश्शहादत का बयान

कभी ऐसा होता है कि जो शख़्स अस्ल वाक़िआ का शाहिद है किसी वजह से उसकी गवाही नहीं हो सकती मसलन वह सख़्त बीमार है कि कचहरी नहीं जा सकता या सफ़र में गया है ऐसी सूरतों में यह हो सकता है कि अपनी जगह दूसरे को करदे और यह दूसरा जाकर गवाही देगा उसको शहादत अ़लश्शहादत कहते हैं।

मसअ्ला.1:– जुमला हुक़ूक़ में शहादत अ़लश्शहादत जाइज़ है मगर हुदूद व क़िसास में जाइज़ नहीं यानी उसके ज़रीआ से सुबूत होने पर हद और क़िसास नहीं जारी करेंगे। (हिदाया)

मसअ्ला.2:– जो शख़्स वाक़िआ का गवाह है वह दूसरे को मुतलक़न गवाह बना सकता है यानी उसे उज़्र हो या न हो गवाह बनाने में मुज़ाइक़ा नहीं (हरज नहीं) मगर उसकी गवाही क़बूल उस वक़्त की जायेगी जब अस्ल गवाह शहादत देने से मअ्ज़ूर हो उसकी चन्द सूरतें हैं अस्ल गवाह मर गया या ऐसा बीमार है कि कचहरी हाज़िर नहीं हो सकता या सफ़र में गया है या इतनी दूर पर है कि मकान से आये और गवाही देकर रात तक घर पहुँच जाना चाहे तो न पहुँचे यह भी असली गवाह के उज़्र के लिये काफ़ी है या वह पर्दा नशीन औरत है कि ऐसी जगह जाने की उसकी आदत नहीं जहाँ अजानिब से इख़्तिलात हो (ग़ैर महरिम लोगों से मेल मिलाप) और अगर वह अपनी ज़रूरत के लिये कभी कभी निकलती हों या गुस्ल के लिए हम्माम में जाती हों जब भी पर्दानशीन ही कहलायेंगी अलग़र्ज़ जब असली गवाह मअ्ज़ूर हो उस वक़्त वह शख़्स गवाही दे सकता है जिसको उस ने अपना क़ाइम मक़ाम किया है अगर्चे क़ाइम मक़ाम करने के वक़्त मअ्ज़ूर न हो। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला.3:– शाहिदे फ़रअ् में अ़दद भी शर्त है यानी असली गवाह अपने क़ाइम मक़ाम दो मर्दों या एक मर्द दो औरतों को मुक़र्रर करे बल्कि औरत गवाह है और वह अपनी जगह किसी को गवाह करना चाहती है तो उसे भी लाज़िम है कि दो मर्द या एक मर्द दो औरतें अपनी जगह मुक़र्रर करे(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– एक शख़्स की गवाही के दो शाहिद हैं मगर उनमें एक ऐसा है जो खुद नफ़्से वाक़िआ का भी शाहिद है यानी उसने अपनी तरफ़ से भी शहादत अदा की और शाहिदे अस्ल की तरफ़ से भी यह गवाही मक़बूल नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– एक असली गवाह है जो वाक़िआ का शाहिद है और दो शख़्स दूसरे असली गवाह के क़ाइम मक़ाम हैं यूँहीं तीन शख़्सों ने गवाही दी यह मक़बूल है और अगर एक असली गवाह ने दो शख़्सों को अपनी जगह किया दूसरे असली ने भी उन्हीं दोनों को अपनी जगह पर किया बल्कि फ़र्ज़ करो बहुत से लोग गवाह थे और सब ने उन्हीं दोनों को अपने अपने क़ाइम मक़ाम किया यह दुरुस्त है यानी उन्हीं दोनों की गवाही सब की जगह पर क़रार पायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– गवाह बनाने का तरीक़ा यह है कि गवाहे असली किसी दूसरे शख़्स को जिसको

अपने क़ाइम मक़ाम करना चाहता है ख़िताब करके यह कहे तुम मेरी इस गवाही पर गवाह होजाओ मैं यह गवाही देता हूँ कि मसलन ज़ैद के अम्र के ज़िम्मे इतने रुपये हैं। या यूँ कहे मैं गवाही देता हूँ कि ज़ैद ने मेरे सामने यह इक़रार किया है और तुम मेरी इस गवाही के गवाह होजाओ ग़र्ज़ असली गवाह उस वक़्त उस तरह गवाही देगा जिस तरह क़ाज़ी के सामने गवाही होती है और फ़रअ़ को उस पर गवाह बनायेगा और फ़रअ़ उसको क़बूल करे बल्कि फ़रअ़ ने सुकूत किया जब भी शाहिद के क़ाइम मक़ाम होजायेगा और अगर इन्कार करदेगा कह देगा कि तुम्हारी जगह गवाह होने को मैं क़बूल नहीं करता तो गवाही रद होगई यानी अब उसकी जगह गवाही नहीं दे सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– शाहिदे फ़रअ़ क़ाज़ी के पास यूँ गवाही देगा मैं गवाही देता हूँ कि फ़ुलाँ शख़्स ने मुझे अपनी फ़ुलाँ गवाही पर गवाह बनाया था और मुझसे कहा था कि तुम मेरी इस शहादत पर गवाह हो जाओ और उससे मुख़्तसर इबारत यह है कि अस्ल गवाह कहे तुम मेरी उस गवाही पर गवाह हो जाओ और फ़रअ़ यह कहे मैं फ़ुलाँ शख़्स की उस शहादत की शहादत देता हूँ। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– शाहिदे फ़रअ़ को मालूम है कि असली गवाह आ़दिल नहीं है बल्कि अगर उसका आ़दिल होना कुछ मा'लूम न हो तो उसकी जगह पर गवाही न देना चाहिए। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– दूसरे को अपनी जगह गवाह बनाना चाहता हो तो यह करना चाहिए कि तालिब व मतलूब (मुद्दई और मुद्दआ़ अ़लैह) दोनों को सामने बुलाकर शहिदे फ़रअ़ (क़ाइम मक़ाम गवाह) के सामने दोनों की तरफ़ इशारा करके शहादत दे मसलन उस शख़्स ने उस शख़्स के लिए उस चीज़ का इक़रार किया है और अगर तालिब व मतलूब मौजूद न हों तो नाम व नसब के साथ शहादत दे यानी फ़ुलाँ इब्ने फ़ुलाँ इब्ने फ़ुलाँ और शाहिदे फ़रअ़ जब क़ाज़ी के पास शहादत दे तो शाहिदे अस्ल का नाम और उनके बाप दादा के नाम ज़रूर ज़िक्र करे और ज़िक्र न करे तो गवाही मक़बूल नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– गवाहाने फ़रअ़ अगर असली गवाह की तअ्दील (असली गवाह का आदिल व गवाही के क़ाबिल होना बतायें) करें यह दुरुस्त है जिस तरह दो गवाहों में से एक दूसरे की तअ्दील कर सकता है और अगर फ़रअ़ ने तअ्दील नहीं की तो क़ाज़ी ख़ुद नज़र करे और देखे कि आ़दिल है या नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– चन्द उमूर ऐसे हैं जिनकी वजह से फ़रअ़ की शहादत बातिल होजाती है **1.असली गवाह** ने गवाही देने से मनअ़ करदिया। **2.असली गवाह** ख़ुद क़ाबिले क़बूले शहादत न रहा मसलन फ़ासिक़ होगया गूंगा होगया अन्धा हो गया। **3.अस्ल गवाह** ने शहादत से इन्कार कर दिया मसलन हम वाक़िआ के गवाह नहीं या हमने उन लोगों को गवाह नहीं बनाया या हमने गवाह बनाया मगर यह हमारी ग़ल्ती है **4.अगर उसूल** (यानी असली गवाह) ख़ुद क़ाज़ी के पास फ़ैसला के क़ब्ल हाज़िर होगये तो फ़ुरूअ़ की शहादत पर फ़ैसला नहीं होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– शाहिदे अस्ल ने दूसरों को अपने क़ाइम मक़ाम गवाह करदिया उसके बाद अस्ल ऐसी हालत में होगया कि उसकी गवाही जाइज़ नहीं उसके बाद फिर ऐसे हाल में हुआ कि अब गवाही जाइज़ है मसलन फ़ासिक़ होगया था फिर ताइब होगया उसके बाद फ़रअ़ ने शहादत दी यह गवाही जाइज़ है यूँहीं अगर दोनों फ़रअ़ ना'क़ाबिले शहादत होगये फिर क़ाबिले शहादत होगये और अब शहादत दी यह भी जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– क़ाज़ी ने अगर फ़रअ़ की शहादत उस वजह से रद की है कि अस्ल मुत्तहम है तो न अस्ल की क़बूल होगी न फ़रअ़ की और अगर इस वजह से रद की कि फ़रअ़ में तोहमत है तो अस्ल की शहादत क़बूल हो सकती है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– फ़ुरूअ़ यह कहते हैं उसूल ने हमको फ़ुलाँ इब्ने फ़ुलाँ इब्ने फ़ुलाँ पर शाहिद किया था हम उस की शहादत देते हैं मगर हम उसको पहचानते नहीं इस सूरत में मुद्दई के ज़िम्मे यह लाज़िम है कि गवाहों से साबित करे कि जिसके मुतअ़ल्लिक़ शहादत गुज़री है यह शख़्स है (आलमगीरी) फ़र्ज़ करो एक औरत के मुक़ाबिल में नाम व नसब के साथ गवाही गुज़री मगर गवाहों ने

कह दिया हम उसको पहचानते नहीं और मुद्दई एक औरत को पेश करता है कि यह वही औरत है बल्कि खुद औरत भी इक़रार करती है कि हाँ मैं ही वह हूँ यह काफ़ी नहीं बल्कि मुद्दई को गवाहों से साबित करना होगा कि यही वह औरत है बल्कि अगर मुद्दआ अलैह यह कहता हो कि यह नाम व नसब दूसरे शख़्स के भी हैं उससे क़ाज़ी सुबूत तलब करेगा अगर सुबूत होजायेगा दअ्वा ख़ारिज(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.15:– जिसने झूटी गवाही दी क़ाज़ी उसकी तशहीर करेगा यानी जहाँ का वह रहने वाला है उस महल्ला में ऐसे वक़्त आदमी भेजेगा कि लोग कसरत से इकट्ठा हों वह शख़्स क़ाज़ी का यह पैग़ाम पहुँचायेगा कि हमने उसे झूटी गवाही देने वाला पाया तुम लोग उससे बचो और दूसरे लोगों को भी उससे परहेज़ करने को कहो। (हिदाया)

मसअ्ला.16:– झूटी गवाही का सुबूत गवाहों से नहीं होसकता क्योंकि नफ़ी के मुतअ़ल्लिक़ गवाही नहीं होसकती बल्कि उसका सुबूत सिर्फ़ गवाह के इक़रार से हो सकता है ख़्वाह उसने खुद क़ाज़ी के यहाँ इक़रार किया हो या क़ाज़ी के पास उसके इक़रार के मुतअ़ल्लिक़ गवाह पेश हुए। (हिदाया)

मसअ्ला.17:– अगर गवाही रद करदी गई किसी तोहमत की वजह से या उस वजह से कि शहादत व दअ्वे में मुख़ालफ़त थी या उस वजह से कि दोनों शहादतों में बाहम मुख़ालफ़त थी उसको झूटा गवाह क़रार देकर तअ्ज़ीर (सज़ा) नहीं करेंगे क्या मालूम कि यह झूटा है या मुद्दई झूटा है या उसका साथी दूसरा गवाह झूटा है। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.18:– अगर फ़ासिक़ ने झूटी गवाही दी और उसका झूट साबित होगया फिर ताइब होगया तो अब उसकी गवाही मक़बूल है कि उसका सबब फ़िस्क़ था वह ज़ाइल होगया और अगर आदिल या मस्तूरुल'हाल ने झूटी गवाही दी फिर ताइब होगया तो बाद तौबा भी उसकी गवाही हमेशा के लिए मरदूद है मगर फ़तवा क़ौले इमाम अबू'यूसुफ़ पर है कि अगर ताइब होजाये और क़ाज़ी के नज़्दीक उसकी गवाही क़ाबिले इत्मीनान होजाये तो अब मक़बूल है। (दुर्रेमुख़्तार)

गवाही से रुजूअ् करने का बयान

गवाही से रुजूअ् करने का मतलब यह है कि वह खुद कहे कि मैंने अपनी शहादत से रुजूअ् किया या उसके मिस्ल दूसरे अल्फ़ाज़ कहे और अगर गवाही से इन्कार करता है कहता है मैंने गवाही दी ही नहीं तो उसको रुजूअ् नहीं कहेंगे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.1:– अगर फ़ैसले से पहले रुजूअ् किया है तो क़ाज़ी उसकी गवाही पर फ़ैसला नहीं करेगा क्योंकि उसके दोनों क़ौल मुतनाक़िज़ (एक दूसरे के मुख़ालिफ़) हैं क्या मालूम कौनसा क़ौल सच्चा है और इस सूरत में गवाह पर तावान वाजिब नहीं कि उसने किसी को नुक़सान नहीं पहुँचाया है जिसका तावान दे। (हिदाया)

मसअ्ला.2:– अगर फ़ैसले के बाद रुजूअ् किया तो जो फ़ैसला होचुका वह तोड़ा नहीं जायेगा ब'ख़िलाफ़ उस सूरत के कि गवाह का ग़ुलाम होना या महदूद फ़िल'क़ज़फ़ होना साबित होजाये कि यह फ़ैसला ही सहीह नहीं हुआ और इस सूरत में मुद्दई ने जो कुछ लिया है वापस करे और उस सूरत में गवाहों पर तावान नहीं कि यह ग़लती क़ाज़ी की है क्योंकि ऐसे लोगों की शहादत पर फ़ैसला किया जो क़ाबिले शहादत न थे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– रुजूअ् के लिये शर्त यह है कि मज्लिसे क़ाज़ी में रुजूअ् करे ख़्वाह उसी क़ाज़ी की कचहरी में रुजूअ् करे जिसके यहाँ शहादत दी है या दूसरे क़ाज़ी के यहाँ लिहाज़ा अगर मुद्दआ अलैह जिसके ख़िलाफ़ उसने गवाही दी यह दअ्वा करता है कि गवाह ने ग़ैर क़ाज़ी के पास रुजूअ् किया और उसपर गवाह पेश करना चाहता है या उस गवाह रुजूअ् करने वाले पर हलफ़ देना चाहता है यह क़बूल नहीं किया जायगा कि उसका दअ्वा ही ग़लत है हाँ अगर यह दअ्वा करता है कि उसने किसी क़ाज़ी के पास रुजूअ् किया है या रुजूअ् का इक़रार ग़ैर क़ाज़ी के पास किया है और वह कहता है मुझे तावान दिलाया जाये क्योंकि उसकी ग़लत गवाही से मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला

हुआ है और रुजूअ़ या इक़रारे रुजूअ़ पर गवाह पेश करना चाहता है तो गवाह लिये जायेंगे।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– फ़ैसले के बाद गवाहों ने रुजूअ़ किया तो जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ है गवाह उस को तावान दें कि उसका जो कुछ नुक़सान हुआ उन गवाहों की बदौलत हुआ है मुद्दई से वह चीज़ नहीं ली जा सकती कि उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला होचुका इन के रुजूअ़ करने से उसपर असर नहीं पड़ता। (हिदाया वग़ैरहा)

मसअ्ला.5:– तावान के बारे में एअ़तिबार उसका होगा जो बाक़ी रहगया हो उसका एअ़तिबार नहीं जो रुजूअ़ कर गया मसलन दो गवाह थे एक ने रुजूअ़ किया निस्फ़ तावान दे और तीन गवाह थे एक ने रुजूअ़ किया कुछ तावान नहीं कि अब भी दो बाक़ी हैं और अगर उन में से फिर एक रुजूअ़ कर गया तो निस्फ़ तावान दोनों से लिया जायेगा और तीसरा भी रुजूअ़ कर गया तो तीनों पर एक एक तिहाई। एक मर्द दो औ़रतें गवाह थीं एक औ़रत ने रुजूअ़ किया चौथाई तावान उसके ज़िम्मे है और दोनों ने रुजूअ़ किया तो दोनों पर निस्फ़ और अगर एक मर्द, दस औ़रतें गवाह थीं उनमें आठ रुजूअ़ कर गईं तो कुछ तावान नहीं और नवीं भी रुजूअ़ कर गई तो अब इन नौ पर एक चौथाई तावान है और सब रुजूअ़ कर गये याानी एक मर्द और दसों औ़रतें तो छठा हिस्सा मर्द पर और बाक़ी पाँच हिस्से दसों औ़रतों पर यानी बारह हिस्से तावान के होंगे हर एक औ़रत एक एक हिस्सा दे और मर्द दो हिस्से दे। दो मर्द और एक औ़रत ने गवाही दी थी और सब रुजूअ़ कर गये तो औ़रत पर तावान नहीं कि एक औ़रत गवाह ही नहीं। (हिदाया वग़ैरहा)

मसअ्ला.6:– निकाह़ की शहादत दी उसकी तीन सूरतें हैं महरे मिस्ल के साथ या महरे मिस्ल से ज़ायद या कम के साथ और तीनों सूरतों में निकाह़ का मुद्दई मर्द है या औ़रत यह कुल छः सूरतें हुईं मर्द मुद्दई है जब तो रुजूअ़ करने की तीनों सूरतों में तावान नहीं। और औ़रत मुद्दई है और महरे मिस्ल से ज़्यादा के साथ निकाह़ होना गवाहों ने बयान किया है तो जितना महरे मिस्ल से ज़ाइद है वह तावान में वाजिब है बाक़ी दो सूरतों में कुछ तावान नहीं। (हिदाया)

मसअ्ला.7:– गवाहों ने औ़रत के ख़िलाफ़ यह गवाही दी कि उसने अपने पूरे महर पर या उसके जुज़ पर क़ब्ज़ा कर लिया फिर रुजूअ़ किया तो तावान देना होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– क़ब्ले दुख़ूल त़लाक़ की शहादत दी और क़ाज़ी ने त़लाक़ का हुक्म देदिया उसके बाद गवाहों ने रुजूअ़ किया तो निस्फ़ महर का तावान देना पड़ेगा। (हिदाया)

मसअ्ला.9:– बैअ़ की गवाही दी फिर रुजूअ़ करगये अगर वाजिबी क़ीमत (राइज क़ीमत) पर बैअ़ होना बताया तो तावान कुछ नहीं मुद्दई बाइअ़ हो या मुश्तरी और असली क़ीमत से ज़्यादा पर बैअ़ होना बताया और मुद्दई बाइअ़ है बक़द्र ज़्यादती तावान वाजिब है और बाइअ़ मुद्दई न हो तो तावान नहीं और वाजिबी क़ीमत से कम की शहादत दी फिर रुजूअ़ किया तो वाजिबी क़ीमत से जो कुछ कम है उसका तावान दे यह उस सूरत में है कि मुद्दई मुश्तरी हो और बाइअ़ मुद्दई हो तो कुछ नहीं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– बैअ़ की शहादत दी और उसकी भी कि मुश्तरी ने बाइअ़ को स्मन देदिया और रुजूअ़ किया अगर एक ही शहादत में बैअ़ और अदाये स्मन दोनों की गवाही दी है कि ज़ैद ने अम्र से फुलाँ चीज़ इतने में ख़रीदी और स्मन अदा करदिया इस सूरत में कीमत का तावान है यानी उस चीज़ की वाजिबी क़ीमत जो हो वह तावान है और अगर दोनों बातों की गवाही दो शहादतों में दी है तो स्मन का तावान है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– बाइअ़ के ख़िलाफ़ यह गवाही दी कि उसने यह चीज़ दो हज़ार में एक साल की मीआद पर बेची है और चीज़ की वाजिबी क़ीमत एक हज़ार है और गवाहों ने रुजूअ़ किया तो बाइअ़ को इख़्तियार है गवाहों से उस वक़्त की क़ीमत का तावान ले यानी एक हज़ार या मुश्तरी से साल भर बाद दो हज़ार ले इन दोनों सूरतों में जो सूरत इख़्तियार करेगा दूसरा बरी हो जायेगा मगर गवाहों से उसने एक हज़ार लेलिये तो गवाह मुश्तरी से स्मन यानी दो हज़ार वसूल करेंगे

और इसमें से एक हज़ार सदक़ा कर दें। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.12:– बैअ् बात और बैअ् बिल'ख़ियार दोनों का एक हुक्म है यानी अगर गवाहों ने यह शहादत दी कि उसने यह चीज़ वाजिबी क़ीमत से कम पर बैअ् की है और उसको ख़ियार है अगर्चे अब भी मुद्दते ख़ियार बाक़ी हो और फ़र्ज़ करो क़ाज़ी ने फ़ैसला बैअ् बिल'ख़्यार का कर दिया और अन्दरूने मुद्दत बाइअ् ने बैअ् को फ़स्ख़ नहीं किया और गवाहों ने रुजूअ् किया तो तावान वाजिब होगा। हाँ अगर अन्दरूने मुद्दत बाइअ् ने बैअ् को जाइज़ करदिया तो गवाहों से ज़मान साक़ित हो जायेगा। (हिदाया, फ़त्हुल'क़दीर)

मसअ्ला.13:– दो गवाहों ने क़ब्ले दुख़ूल तीन तलाक़ की शहादत दी और एक गवाह ने एक तलाक़ क़ब्ले दुख़ूल की शहादत दी और सब रुजूअ् करगये तो तावान उनपर है जिन्होंने तीन तलाक़ की गवाही दी है उसपर नहीं है जिसने एक तलाक़ की गवाही दी और अगर वती या ख़लवत के बाद तलाक़ की शहादत दी फिर रुजूअ् किया तो कुछ तावान वाजिब नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.14:– दो गवाहों ने तलाक़ क़ब्लुद्दुख़ूल की शहादत दी और दो ने दुख़ूल की फिर यह सब रुजूअ् करगये, दुख़ूल के गवाहों पर महर के तीन रुबअ् का तावान है और तलाक़ के गवाहों पर एक रुबअ् का। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.15:– असली गवाहों ने दूसरे लोगों को अपने क़ाइम मक़ाम किया था फ़ुरुअ् ने रुजूअ् किया तो उन पर तावान वाजिब है और अगर फ़ैसले के बाद असली गवाहों ने यह कहा कि हमने फ़ुरुअ् को अपनी गवाही पर शाहिद बनाया ही न था या हमने ग़ल्ती की कि उनको गवाह बनाया तो उस सूरत में तावान वाजिब नहीं न उसूल पर न फ़ुरुअ् पर यूँहीं अगर फ़ुरुअ् ने यह कहा कि उसूल ने झूट कहा या ग़लती की तो तावान नहीं और अगर उसूल व फ़ुरुअ् सब रुजूअ् करगये तो तावान सिर्फ़ फ़ुरुअ् पर है उसूल पर नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– तज़्किया करने वाले (गवाहों के क़ाबिले शहादत होने की तहक़ीक़ करने वाले) जिन्होंने गवाह की तअ्दील की थी यह बताया था कि यह क़ाबिले शहादत हैं रुजूअ् कर गये अगर इल्म था कि यह क़ाबिले शहादत नहीं है मस्लन गुलाम है और तज़्किया कर दिया तो तावान देना होगा और अगर दानिस्ता (जान बूझकर) नहीं किया है बल्कि ग़लती से तज़्किया कर दिया तो तावान नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– दो गवाहों ने तअ्लीक़ (किसी शर्त के साथ तलाक़) की गवाही दी मस्लन शौहर ने यह कहा है अगर तू उस घर में गई तो तुझको तलाक़ है या मौला ने कहा अगर यह काम करूँ तो मेरा गुलाम आज़ाद है और दो गवाहों ने यह शहादत दी कि शर्त पाई गई लिहाज़ा बीवी को तलाक़ का और गुलाम को आज़ाद होने का हुक्म होगया फिर यह सब गवाह रुजूअ् कर गये तो तअ्लीक़ के गवाह को तावान देना होगा गुलाम आज़ाद हुआ है तो उसकी क़ीमत और औरत को तलाक़ का हुक्म हुआ और क़ब्ले दुख़ूल है तो निस्फ़ महर तावान दें। (हिदाया)

मसअ्ला.18:– दो गवाहों ने गवाही दी कि मर्द ने औरत को तलाक़ सिपुर्द करदी और दो ने यह गवाही दी कि औरत ने अपने को तलाक़ देदी फिर यह सब रुजूअ् कर गये तावान उनपर है जो तलाक़ देने के गवाह हैं उनपर नहीं जो सिपुर्द करने के गवाह हैं यूहीं शुहूदे एह्सान (मर्द या औरत की शादी होने की गवाही देने वाले) पर रुजूअ् करने से दियत वाजिब नहीं कि रज्म की इल्लत ज़िना है और एह्सान महज़ शर्त है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.19:– औरत ने दअ्वा किया कि शौहर से दस रुपये माहवार नफ़क़ा पर मेरी मुसालहत होगई है शौहर कहता है पाँच रुपये माहवार पर सुलह हुई है औरत ने गवाहों से दस रुपये माहवार पर सुलह होना साबित किया और क़ाज़ी ने फ़ैसला देदिया उसके बाद गवाह रुजूअ् करगये अगर ऐसी है कि उस जैसी का नफ़क़ा दस रुपये या ज़्यादा होना चाहिए जब तो कुछ नहीं और अगर ऐसी नहीं है तो जो कुछ ज़्यादा उस गुज़श्ता ज़माने में दिया गया मस्लन पाँच रुपये की हैसियत थी और दिलाये गये दस रुपये तो माहवार पाँच रुपये ज़्यादा दिये गये लिहाज़ा फ़ैसले के बाद से

अब तक जो कुछ शौहर से ज़्यादा लिया गया है उसका तावान गवाहों पर लाज़िम है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.20:– क़ाज़ी ने शौहर पर दस रुपये माहवार नफ़्क़ा के मुक़र्रर कर दिये एक बरस के बाद औरत ने मुतालबा किया कि आज तक मुझको मेरा नफ़्क़ा नहीं वसूल हुआ है शौहर ने दो गवाह पेश कर दिये जिन्होंने शहादत दी कि शौहर ने बराबर माह ब'माह नफ़्क़ा अदा किया है क़ाज़ी ने उस गवाही के मुवाफ़िक़ फ़ैसला करदिया फिर गवाह रुजूअ् कर गये उनको उस पूरी मुद्दत के नफ़्क़ा का तावान देना होगा। औलाद या किसी महरम का नफ़्क़ा क़ाज़ी ने मुक़र्रर कर दिया और उसमें यही सूरत पेश आई तो उसका भी वही हुक्म है। (आलमगीरी)

वकालत का बयान

इन्सान को अल्लाह तआ़ला ने मुख़्तलिफ़ तबाइअ् (तरह तरह की तबीअ़तें, ख़ूबियाँ) अ़ता किये हैं कोई क़वी (ताक़तवर) है और कोई कमज़ोर बाज़ कम समझ हैं और बाज़ अ़क़्लमन्द हर शख़्स में ख़ुद ही अपने मुआ़मलात का अन्जाम देने की क़ाबिलयत नहीं न हर शख़्स अपने हाथ से अपने सब काम करने के लिये तैयार लिहाज़ा इन्सानी ह़ाजत का यह तक़ाज़ा हुआ कि वह दूसरों से अपना काम कराये। क़ुर्आन मजीद ने भी उसके जवाज़ की तरफ़ इशारा किया।

अल्लाह तआ़ला ने असहाबे कहफ़ का क़ौल ज़िक्र फ़रमाया।

﴿فَابْعَثُوْٓا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖٓ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَآ اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ﴾

"अपने में से किसी को यह चाँदी देकर शहर में भेजो वहाँ से हलाल खाना देख कर तुम्हारे पास लाये"।

ख़ुद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने बाज़ उमूर में लोगों को वकील बनाया ह़कीम इब्ने हिज़ाम रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु को क़ुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिये वकील किया। और बाज़ सहाबा को निकाह़ का वकील किया वग़ैरा वग़ैरा। और वकालत के जवाज़ पर इजमाए उम्मत भी मुनअ़क़िद। लिहाज़ा किताब व सुन्नत व इजमाअ् से उसका जवाज़ साबित वकालत के यह मअ्ना हैं कि जो तसर्रुफ़ ख़ुद करता उस में दूसरे को अपने क़ाइम मक़ाम कर देना।

मसअ्ला.1:– यह कह दिया कि मैंने तुझे फ़ुलाँ काम करने का वकील किया या मैं यह चाहता हूँ कि तुम मेरी यह चीज़ बेचदो या मेरी ख़ुशी यह है कि तुम यह काम करदो यह सब सूरतें तौकील (वकील बनाने) की हैं वकील का क़बूल करना सेह़ते वकालत के लिये ज़रूरी नहीं यानी उसने वकील बनाया और वकील ने कुछ नहीं कहा यह भी नहीं कि मैंने क़बूल किया और उस काम को करदिया तो मुवक्किल (वकील बनाने वाले) पर लाज़िम होगा। हाँ अगर वकील ने रद करदिया तो वकालत नहीं हुई फ़र्ज़ करो एक शख़्स ने कहा था कि मेरी यह चीज़ बेचदो उसने इन्कार कर दिया उसके बाद फिर बैअ् करदी तो यह बैअ् मुवक्किल पर लाज़िम न हुई। कि उस का वकील नहीं बल्कि फ़ुज़ूली है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– ज़ैद ने अ़म्र को अपनी ज़ौजा को त़लाक़ देने के लिये वकील किया अ़म्र ने इन्कार कर दिया अब त़लाक़ नहीं देसकता और अगर ख़ामोश रहा और उसको त़लक़ देदी तो त़लाक़ होगई। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– यह ज़रूरी है कि वह तसर्रुफ़ जिस में वकील बनाता है मालूम हो और अगर मालूम न हो तो सब से कम दर्जा का तसर्रुफ़ यानी हिफ़ाज़त करना उसका काम होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– उस के लिये शर्त यह है कि तौकील उसी चीज़ में हो सकती है जिस को मुवक्किल ख़ुद कर सकता हो और अगर किसी ख़ास वजह से मुवक्किल का तसर्रुफ़ मुमतनेअ् (जो काम वकील बनाने वाला न कर सके) हो गया और अस्ल में जाइज़ हो तौकील दुरुस्त है मसलन मोह़रिम (हज और उमरा की नियत से एहराम बाँधने वाला) ने शिकार बैअ् करने के लिये ग़ैर मोह़रिम को वकील किया। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– मजनून या ला'यअ़क़िल बच्चे ने वकील बनाया यह तौकील मुतलक़न सहीह नहीं और समझ वाल बच्चे ने वकील किया उसकी तीन सूरतें हैं उस चीज़ का वकील किया जिसको ख़ुद नहीं कर सकता है मसलन ज़ौजा को त़लाक़ देना, ग़ुलाम को आज़ाद करना, हिबा करना, सदक़ा देना यानी ऐसे तसर्रुफ़ात जिनमें ज़रर महज़ है उनमें तौकील सहीह नहीं और अगर ऐसे तसर्रुफ़ात

में वकील किया जो नफ़अ् महज़ हैं यह तौकील दुरुस्त है मस्लन हिबा क़बूल करना, सदका क़बूल करना। और ऐसे तसर्रुफ़ात में वकील किया जिनमें नफ़अ् व ज़रर दोनों हों जैसे बैअ् व इजारा वग़ैराहुमा उस में वली ने इजाज़ते तिजारत दी हो तौकील सहीह है वरना वली की इजाज़त पर मौक़ूफ़ है इजाज़त देगा सहीह होगी वरना बातिल। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला.6:– मुरतद ने किसी को वकील किया यह तौकील मौक़ूफ़ है अगर मुसलमान होगया नाफ़िज़ है और अगर क़त्ल किया गया या मरगया या दारुलहर्ब में चला गया तौकील बातिल है। और अगर दारुलहर्ब में चला गया था फिर मुसलमान होकर वापस हुआ और क़ाज़ी ने उसके दारुलहर्ब चले जाने का हुक्म दिया था वह तौकील बातिल हो चुकी और क़ाज़ी ने अभी हुक्म नहीं दिया है कि मुसलमान होकर वापस आगया तौकील बाक़ी है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– मुरतद्दा औरत ने किसी को वकील बनाया यह तौकील जाइज़ है। वकील बनाने के बाद मआज़ल्लाह मुरतद्दा होगई यह तौकील ब'दस्तूर बाक़ी है हाँ अगर मुरतद्दा औरत अपने निकाह का वकील बनाये यह तौकील बातिल है अगर ज़माना–ए–इर्तिदाद में वकील ने निकाह कर दिया यह निकाह भी बातिल और अगर मुसलमान होने के बाद वकील ने उसका निकाह किया यह निकाह सहीह है और अगर वकील ने उस वक़्त निकाह किया था जब वह मुसलमान थी फिर मआज़ल्लाह मुरतद्दा होगई फिर मुसलमान होगई अब वकील ने उसका निकाह किया यह निकाह जाइज़ नहीं है कि तौकील बातिल होगई। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– काफ़िर की काफ़िर के ज़िम्मे शराब बाक़ी है उसने मुसलमान को तक़ाज़े के लिये वकील किया मुसलमान को ऐसी वकालत क़बूल न करनी चाहिए। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– बाप ने ना'बालिग़ बच्चे के लिये किसी चीज़ के ख़रीदने या बेचने का किसी को वकील किया यह तौकील दुरुस्त है बाप के वसी का भी यही हुक्म है कि वह बच्चे के लिये चीज़ ख़रीदने या बेचने का किसी को वकील बना सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– तौकील के लिए वकील का आक़िल होना शर्त है यानी मजनून या इतना छोटा बच्चा जो ला'यअ्क़िल हो वकील नहीं होसकता बुलूग़ और हुर्रियत उसके लिए शर्त नहीं यानी ना'बालिग़ समझवाल को और ग़ुलाम महजूर को भी वकील बना सकते हैं। वकील ने भांग पी ली कि अक़्ल में फ़ुतूर पैदा होगया वह अपनी वकालत पर न रहा यानी उस हालत में जो तसर्रुफ़ात करेगा वह मुवक्किल पर नाफ़िज़ नहीं होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– वकील को इल्म होजाना सेहते तौकील के लिये शर्त नहीं फ़र्ज़ करो उसने किसी को वकील करदिया है और उस वक़्त वकील को ख़बर न हुई बाद को वकील ने मालूम किया और तसर्रुफ़ किया यह तसर्रुफ़ जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– वकील बनाने के लिये वकील का इल्म होजाना अगर्चे शर्त नहीं है मगर वह वकील उस वक़्त होगा जब उसे इल्म होजाये लिहाज़ा अगर ग़ुलाम बेचने या ज़ौजा का तलाक़ देने का वकील किया और वकील को अभी इल्म नहीं हुआ है बतौर खुद उस वकील ने ग़ुलाम को बेच दिया या उस की बीवी को तलाक़ देदी न बैअ् जाइज़ हुई न तलाक़। (आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– हुक़ूक़ दो क़िस्म के हैं हुक़ूक़ुलअब्द हुक़ूक़ुल्लाह। हुक़ूक़ुल्लाह दो क़िस्म हैं उसमें दअ्वा शर्त है या नहीं। जिन हुक़ूक़ुल्लाह में दअ्वा शर्त है जैसे हद, क़ज़फ़ हद्दे सरक़ा (चोरी की सज़ा) उनके इस्बात के लिये तौकील सहीह है मुवक्किल मौजूद हो या ग़ाइब वकील उसका सुबूत पेश कर सकता है और उनका इस्तीफ़ा यानी क़ज़फ़ में दुर्रे लगाना या चोरी में हाथ काटना उसके लिये मुवक्किल की मौजूदगी ज़रूरी है। और जिन हुक़ूक़ुल्लाह में दअ्वे शर्त नहीं जैसे हद्दे ज़िना, हद्दे शुर्बे ख़मर उनके इस्बात या इस्तीफ़ा किसी में तौकील जाइज़ नहीं। हुक़ूक़ुल इबाद भी दो क़िस्म हैं शुबह से साक़ित होते हैं या नहीं अगर साक़ित हो जायें जैसे क़िसास उसके इस्बात की तौकील

सहीह है और इस्तीफ़ा की तौकील यानी क़िसास जारी करने का वकील बनाना या अगर मुवक्किल
यानी वली की मौजूदगी में हो तो दुरुस्त है वरना नहीं और हक़ूकुलअ़ब्द जो शुबह से साकित नहीं
होते उन सब में वकील बिल खुसूमा (मुक़दमे का वकील) बनाना दुरुस्त है वह हक़ अज़ क़बीले दैन
(कर्ज़ की क़िस्म से) हो या ऐन (ख़ास चीज़)। तअ़ज़ीर के इस्बात और इस्तीफ़ा दोनों के लिये वकील
बनाना जाइज़ है मुवक्किल मौजूद हो या ग़ाइब। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– मुबाहात में वकील बनाना जाइज़ नहीं जैसे जंगल की लकड़ी काटना, घास काटना, दरिया या कुँए से पानी भरना, जानवर का शिकार करना, कान से जवाहिर निकालना जो कुछ उन सब में हासिल होगा वह सब वकील का है मुवक्किल उसमें से किसी शय का हक़दार नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– वकील बिल खुसूमा में ख़सम (मद्दे मक़ाबिल) का राज़ी होना शर्त है यानी बिग़ैर उसकी रज़ा'मन्दी के वकालत लाज़िम नहीं अगर वह रद कर देगा तो वकालत रद हो जायेगी ख़सम यह कह सकता है कि वह खुद हाज़िर होकर जवाब दे ख़सम मुद्दई हो या मुद्दआ अ़लैह दोनों का एक हुक्म है और अगर मुवक्किल बीमार हो कि पैदल कचहरी न जा सकता हो या सवारी पर जाने में मर्ज़ का इज़ाफ़ा होजाता हो या मुवक्किल सफ़र में हो या सफ़र का इरादा रखता हो या औरत पर्दा'नशीन हो या औरत हैज़ व निफ़ास वाली हो और हाकिम मस्जिद में इज्लास करता हो या किसी दूसरे हाकिम ने उसे क़ैद करदिया हो या अपना दअ़वा अच्छी तरह बयान न कर सकता हो उन सबने वकील किया तो वकालत बिग़ैर ख़स्म की रज़ा'मन्दी के लाज़िम होगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– मुद्दई, मुद्दआ'अ़लैह में से एक मुअ़ज़्ज़ज़ है दूसरा कम दर्जा का है वह मुअ़ज़्ज़ज़ मुक़द्दमा की पैरवी के लिये वकील करता है वह उ़ज़्र नहीं उसकी वजह से वकालत लाज़िम न होगी उसका फ़रीक़ कह सकता है कि वह खुद कचहरी में हाज़िर होकर जवाब दिही करे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– ख़सम राज़ी होगया था मगर अभी दअ़वे की समाअ़त नहीं हुई है उस रज़ा'मन्दी को वापस ले सकता है और दअ़वे की समाअ़त के बाद वापस नहीं ले सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.18:– अ़क़्द दो क़िस्म के हैं बाज़ वह हैं जिनकी इज़ाफ़त (निस्बत) मुवक्किल की तरफ़ करना ज़रूरी नहीं खुद अपनी तरफ़ भी इज़ाफ़त करे जब मुवक्किल ही के लिये हो जैसे बैअ़ इजारा और बाज़ वह हैं जिनकी इज़ाफ़त मुवक्किल की तरफ़ करना ज़रूरी है अगर अपनी तरफ़ इज़ाफ़त करदे तो मुवक्किल के लिये न हो बल्कि वकील ही के लिये हो जैसे निकाह कि उसमें मुवक्किल का नाम लेना ज़रूरी है अगर यह कहदे कि मैंने तुझ से निकाह किया तो उसी का निकाह होगा मुवक्किल का नहीं होगा क़िस्मे अव्वल के हुक़ूक़ का तअ़ल्लुक़ खुद वकील से होगा मुवक्किल से नहीं होगा मसलन बाइअ़ का वकील है तो तस्लीमे मबीअ़ (यानी फ़रोख़्त शुदा चीज़ ख़रीदार को देना) और क़ब्ज़े समन (यानी ख़रीदार से चीज़ की मुक़र्रर की हुई क़ीमत लेना) वकील करेगा और मुश्तरी का वकील है तो समन देना और मबीअ़ लेना उसी का काम है मबीअ़ में इस्तिहक़ाक़ हुआ (जो चीज़ बेची गई है उसमें किसी का हक़ साबित हुआ) तो मुश्तरी वकील से समन वापस लेगा वह बाइअ़ से लेगा और मुश्तरी के वकील ने ख़रीदा है तो यह वकील ही बाइअ़ से समन वापस लेगा यह काम मुवक्किल यानी मुश्तरी का नहीं और मबीअ़ में ऐब ज़ाहिर हुआ तो उसमें जो कुछ करना पढ़े खुसूमत वग़ैरा (मुक़दमा वग़ैरा) वह सब वकील ही का काम है। (हिदाया)

मसअ्ला.19:– अ़क़्द की इज़ाफ़त अगर वकील ने मुवक्किल की तरफ़ करदी मसलन यह कहा कि यह चीज़ तुमसे फ़ुलाँ शख़्स ने ख़रीदी उस सूरत में अ़क़्द के हुक़ूक़ मुवक्किल से मुतअ़ल्लिक़ होंगे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.20:– मुवक्किल ने यह शर्त करदी कि अ़क़्द के हुक़ूक़ का तअ़ल्लुक़ वकील से न होगा बल्कि मुझसे होगा यह शर्त बातिल है यानी बा'वजूद उस शर्त के भी वकील ही से तअ़ल्लुक़ होगा (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.21:– इस सूरत में हुक़ूक़ का तअ़ल्लुक़ अगर्चे वकील से है मगर मिल्क इब्तिदा ही से मुवक्किल के लिये होती है यह नहीं कि पहले उस चीज़ का वकील मालिक हो फिर उससे

मुवक्किल की तरफ़ मुन्तकिल हो लिहाज़ा गुलाम ख़रीदने का उसे वकील किया था उसने अपने क़रीबी रिश्तेदार को जो गुलाम है ख़रीदा आज़ाद नहीं होगा या बाँदी ख़रीदने को कहा था उसने अपनी जौज़ा को जो बाँदी है ख़रीदा निकाह़ फ़ासिद नहीं कि वकील उनका मालिक हुआ ही नहीं और मुवक्किल के ज़ी रह़म मह़रम को ख़रीदा आज़ाद होजायेगा और मुवक्किल की ज़ौजा को ख़रीदा निकाह़ फ़ासिद हो जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.22:– जिस अ़क्द की मुवक्किल की तरफ़ इज़ाफ़त ज़रूरी है जैसे निकाह़, खुलअ्, दमे अ़मद (जानबूझकर किसी को क़त्ल करना) से सुलह़, इन्कार के बाद सुलह़, माल के बदले में आज़ाद करना। किताबत, हिबा, तसद्दुक़, (सदक़ा करना) आ़रियत, अमानत रखना, रहन, क़र्ज़ देना, शिरकत, मुज़ारबत कि अगर उनको मुवक्किल की तरफ़ निस्बत न करे तो मुवक्किल के लिये नहीं होंगे उनमें अ़क्द के हुक़ूक़ का तअ़ल्लुक़ मुवक्किल से होगा वकील से नहीं होगा। वकील उन उक़ूद (इन मुआ़मलात) में सफ़ीरे मह़ज़ होता है क़ासिद की तरह़ कि पैग़ाम पहुँचादिया और किसी बात से कुछ तअ़ल्लुक़ नहीं लिहाज़ा निकाह़ में शौहर के वकील से महर का मुतालबा नहीं हो सकता औरत के वकील से तस्लीमे ज़ौजा का मुतालबा नहीं हो सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.23:– वकील से चीज़ ख़रीदी है मुवक्किल स़मन का मुतालबा करता है मुश्तरी इन्कार कर सकता है कह सकता है कि मैंने तुमसे नहीं ख़रीदी जिससे ख़रीदी उसको दाम दूँगा मगर मुश्तरी ने मुवक्किल को देदिया तो देना स़ह़ीह़ है अगर्चे वकील ने मनअ् कर दिया हो कह दिया हो कि मुझी को देना मुवक्किल को न देना वकील के सामने मुवक्किल को दे। या उसकी ग़ीबत (ग़ैर मौजूदगी) में स़मन अदा हो जायेगा वकील दोबारा मुतालबा नहीं कर सकता। (हिदाया, बह़र)

मसअ्ला.24:– वकील के मरजाने के बाद वस़ी उसके क़ाइम मक़ाम है मुवक्किल क़ाइम मक़ाम नहीं

मसअ्ला.25:– एक शख़्स़ ने ख़रीदने के लिये दूसरे को वकील किया ख़रीदने से पहले या बाद में वकील को ज़रे समन देदिया कि उसे अदा करके मबीअ् लाओ वकील ने रुपया ज़ाइअ् करदिया और वकील खुद तंगदस्त है अपने पास से उस वक़्त रुपया नहीं दे सकता उस सूरत में बाइअ् को इख़्तियार है कि मबीअ् को रोकले उसपर क़ब्ज़ा न दे जब तक स़मन वसूल न करले मगर मुवक्किल से समन का मुतालबा नहीं कर सकता और फ़र्ज़ करो कि मुवक्किल न स़मन देता है न मबीअ् पर क़ब्ज़ा लेता है तो क़ाज़ी उन दोनों की रज़ामन्दी से चीज़ को बैअ् करदेगा। (बह़रुर्राइक़)

मसअ्ला.26:– वकील ने बाइअ् से एक चीज़ ख़रीदी और मुश्तरी का दैन मुवक्किल या वकील या दोनों के ज़िम्मे है चाहता यह है कि दाम न देना पड़े बक़ाया में मुजरा (बक़ाया से काटदेना) कर दिया जाये अगर मुवक्किल के ज़िम्मे दैन है तो मह़ज़ अ़क्द करने ही से मुक़ास्सा यानी अदला बदला होगया और अगर वकील व मुवक्किल दोनों के ज़िम्मे है तो मुवक्किल के दैन के मुक़ाबिले में मुक़ास्सा होगा वकील के नहीं और तन्हा वकील पर दैन हो तो उससे भी मुक़ास्सा होजायेगा मगर वकील पर लाज़िम होगा कि अपने पास से मुवक्किल को स़मन अदा करे। (बह़रुर्राइक़)

मसअ्ला.27:– वस़ी ने किसी को यतीम की चीज़ बेचने को कहा वकील ने बेचकर दाम यतीम को देदिये यह देना जाइज़ नहीं बल्कि वस़ी को दे। बैअ् सर्फ़ में वकील किया है वकील ने अ़क्द किया और मुवक्किल ने ऐवज़ पर क़ब्ज़ा किया यह दुरुस्त नहीं अ़क्द सर्फ़ बातिल हो जायेगा कि उसमें मज्लिसे अ़क्द में आ़क़िद का क़ब्ज़ा ज़रूरी है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला28:– किसी को इस लिये वकील किया कि वह फुलाँ शख़्स़ से या किसी से क़र्ज़ लादे यह तौकील स़ह़ीह़ नहीं और अगर उस लिये वकील किया है कि मैंने फुलाँ से क़र्ज़ लिया है तो उसपर क़ब्ज़ा करले यह तौकील स़ह़ीह़ है। और क़र्ज़ लेने के लिये क़ासिद बनाया स़ह़ीह़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.29:– वकील को काम करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता हाँ वकील उस लिये किया कि यह चीज़ फुलाँ को देदे वकील को देना लाज़िम है मसलन किसी से कहा यह कपड़ा फुलाँ

शख़्स को देदेना उसने मन्ज़ूर करलिया वह शख़्स चलागया उसको देना लाज़िम है। गुलाम आज़ाद करने पर वकील किया और मुवक्किल ग़ायब होगया वकील आज़ाद करने पर मजबूर नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला.30:– वकील को यह इख़्तियार नहीं कि जिस काम के लिये वकील बनाया गया है दूसरे को उसका वकील करदे हाँ अगर मुवक्किल ने उसको यह इख़्तियार दिया हो कि खुद करदे या दूसरे से करादे तो वकील बना सकता है या वकील के वकील ने काम कर लिया उसको मुवक्किल ने जाइज करदिया तो अब दुरुस्त होगया। वकील से कहदिया जो कुछ तू करे मन्ज़ूर है वकील ने वकील करलिया यह तौकील दुरुस्त है और यह वकीले सानी मुवक्किल का वकील करार पायगा वकील का वकील नहीं यानी अगर वकीले अव्वल मरजाये या मजनून होजाये या मअ्ज़ूल करदिया जाये तो उसका असर वकीले सानी पर कुछ नहीं और अगर वकीले अव्वल ने सानी को मअ्ज़ूल करदिया मअ्ज़ूल होजायेगा अगर वकीले अव्वल ने दूसरे को वकील बनाते वक़्त यह कहदिया कि तू जो करेगा जाइज़ है और उस वकीले दोम ने किसी को वकील किया यह दुरुस्त नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.31:– वकालत में थोड़ी सी जिहालत मुज़िर नहीं मस्लन कहदिया मलमल का थान ख़रीद दो। शुरूते फ़ासिदा से वकालत फ़ासिद नहीं होती। उसमें शर्ते ख़्यार नहीं होसकती।(आलमगीरी)

मसअ्ला.32:– वकालते अक़्द लाज़िम नहीं वकील व मुवक्किल हर एक बिग़ैर दूसरे की मौजूदगी के मअ्ज़ूल कर सकता है मगर यह ज़रूर है कि मुवक्किल अगर वकील को मअ्ज़ूल करे तो जब तक वकील को ख़बर न हो मअ्ज़ूल नहीं यानी उस दरम्यान में जो तसर्रुफ़ करलेगा नाफ़िज होगा मुवक्किल यह नहीं कह सकता कि मैं मअ्ज़ूल कर चुका हूँ। (आलमगीरी)

मसअ्ला.33:– वकील के कब्जे में जो चीज़ होती है वह बतौरे अमानत है यानी ज़ाइअ् होजाने से ज़मान वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

ख़रीद व फ़रोख़्त में तौकील (वकील बनाना) का बयान

मसअ्ला.1:– मुवक्किल ने यह कहा कि जो चीज़ मुनासिब समझो मेरे लिये ख़रीदलो यह ख़रीदारी की वकालते आम्मा है जो कुछ भी ख़रीदेगा मुवक्किल इन्कार नहीं कर सकता यूहीं अगर यह कहदिया कि मेरे लिए जो कपडा चाहो ख़रीदलो यह कपड़े के मुतअ़ल्लिक़ वकालते आम्मा है। दूसरी सूरत यह है कि किसी खास चीज़ की ख़रीदारी के लिये वकील किया हो मस्लन यह गाय यह बकरी, यह घोड़ा ख़रीद दो इस सूरत का हुक्म यह है कि वही मुअय्यन चीज़ जिसकी ख़रीदारी का वकील किया है ख़रीद सकता है उसके सिवा दूसरी चीज़ नहीं ख़रीद सकता तीसरी सूरत यह है कि न तअ़्मीम (आम करदेना) है न तख़सीस (खास करदेना) मस्लन यह कह दिया कि मेरे लिये एक गाय ख़रीद दो उस का हुक्म यह है कि अगर जिहालत थोडी सी हो तौकील दुरुस्त है और जिहालते फ़ाहिशा हो तौकील बातिल। यानी वकील बनाना दुरुस्त नहीं। (दुर्रेमुख़्तार वगैरा)

मसअ्ला.2:– जब ख़रीदने का वकील किया जाये तो ज़रूर है कि उस चीज की जिन्स व सिफ़त या जिन्स व समन बयान करदिया जाये ताकि जिहालत में कमी पैदा होजाये। अगर ऐसा लफ़्ज जिक्र किया जिसके नीचे कई जिन्सें शामिल हैं मस्लन कहदिया चौपाया ख़रीद लाओ यह तौकील सहीह नहीं अगर्चे समन बयान करदिया गया हो क्योंकि उस समन में मुख़्तलिफ़ जिन्सों की अश्या ख़रीद सकते हैं और अगर वह लफ़्ज ऐसा है जिसके नीचे कई नोऐं (वरायटी) तो नोअ् (किस्म वरायटी) बयान करे या समन बयान करे और नोअ् या समन बयान करने के बाद वस्फ़ यानी आला, औसत अदना (अच्छी,दरम्यानी,कमतर किस्म) बयान करना ज़रूरी नहीं। (हिदाया)

मसअ्ला.3:– यह कहा कि मेरे लिये घोड़ा ख़रीद लाओ या तन्जेब का थान (बारीक कलफदार सूती कपड़े का थान) ख़रीद लाओ यह तौकील सहीह है अगर्चे समन न जिक्र किया हो कि उसमें बहुत कम जिहालत है और वकील उस सूरत में ऐसा घोड़ा या ऐसा कपड़ा ख़रीदेगा जो मुवक्किल के हाल से मुनासिब हो। गुलाम या मकान ख़रीदने को कहा तो समन जिक्र करना जरूरी है यानी उस कीमत

का ख़रीदना या नोअ़ बयान करदे मस्लन हब्शी ग़ुलाम वरना तौकील सहीह नहीं यह कहा कि कपड़ा ख़रीद लाओ यह तौकील सहीह नहीं अगर्चे स्मन भी बता दिया हो कि यह लफ़्ज़ बहुत जिन्सों को शामिल है। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला.4:– तआ़म ख़रीदने के लिये भेजा मिक़्दार बयान करदी या स्मन दे दिया तो उ़र्फ़ का लिहाज़ करते हुए तैयार खाना लिया जायेगा गोश्त, रोटी वग़ैरा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– यह कहा कि मोती का एक दाना ख़रीद लाओ या याक़ूत सुर्ख़ का नगीना ख़रीद लाओ और स्मन ज़िक्र किया तौकील सहीह है वरना नहीं। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.6:– गेहूँ वग़ैरा ग़ल्ला ख़रीदने को कहा न मिक़्दार ज़िक्र की कि इतने सेर या इतने मन और न स्मन ज़िक्र किया कि उतने का यह तौकील सहीह नहीं और अगर बयान करदिया है तो सहीह है। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.7:– गाँव के किसी आदमी ने यह कहा मेरे लिए फुलाँ कपड़ा ख़रीदलो और स्मन नहीं बताया वकील वह कपड़ा ख़रीदे जो गाँव वाले इस्तेअ़माल करते हैं और ऐसा कपड़ा ख़रीदना जो गाँव वालों के इस्तेअ़माल में नहीं आता हो ना'जाइज़ है यानी मुवक्किल उसके लेने से इन्कार कर सकता है। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.8:– दलाल को रूपये दिये कि उसकी मेरे लिये चीज़ ख़रीददो और चीज़ का नाम नहीं लिया अगर वह किसी ख़ास चीज़ की दलाली करता हो तो वही चीज़ मुराद है वरना तौकील फ़ासिद। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.9:– तौकील में मुवक्किल ने क़ोई क़ैद ज़िक्र की है उसका लिहाज़ ज़रूरी है उसके ख़िलाफ़ करेगा तो ख़रीदारी का तअ़ल्लुक़ मुवक्किल से नहीं होगा हाँ अगर मुवक्किल के ख़िलाफ़ किया और उससे बेहतर किया जिसको मुवक्किल ने बताया था तो यह ख़रीदारी मुवक्किल पर नाफ़िज़ होगी वकील से कहा ख़िदमत के लिये या रोटी पकाने के लिये लौन्डी ख़रीदलाओ या फुलाँ काम के लिये ग़ुलाम ख़रीदलाओ कनीज़ या ग़ुलाम ऐसा ख़रीदा जिसकी आँखे नहीं या हाथ पाँव नहीं यह ख़रीदारी मुवक्किल पर नाफ़िज़ नहीं होगी। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.10:– मुवक्किल ने जो जिन्स मुतअ़य्यन की थी वकील ने दूसरी जिन्स से बैअ़ की मुवक्किल पर नाफ़िज़ नहीं अगर्चे वह चीज़ उसकी ब'निस्बत ज़्यादा काम की है जिसको मुवक्किल ने कहा है मस्लन वकील से कहा था मेरा ग़ुलाम हज़ार रुपये को बेचना उसने हज़ार अशरफ़ी को बैअ़ कर दिया और अगर वस्फ़ या मिक़्दार के लिहाज़ से मुख़ालफ़त है तो दो सूरतें हैं उस मुख़ालफ़त में मुवक्किल का नफ़अ़ है या नुक़सान अगर नफ़अ़ है मुवक्किल पर नाफ़िज़ है मस्लन उसने एक हज़ार रुपये में बेचने को कहा था उसने डेढ़ हज़ार में बैअ़ की और नुक़सान है तो नाफ़िज़ नहीं मस्लन नौसौ में बैअ़ की। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.11:– वकील ने कोई चीज़ ख़रीदी और उसमें ऐब ज़ाहिर हुआ जब तक वह चीज़ वकील के पास हो उसके वापस करने का हक़ वकील को है और अगर वकील मरगया तो उसके वसी या वारिस् का यह हक़ है और यह न हों तो यह हक़ मुवक्किल के लिये है और अगर वकील ने वह चीज़ मुवक्किल को देदी तो अब बिग़ैर इजाज़ते मुवक्किल वकील को फेरने का हक़ नहीं है यही हुक्म वकील बिल'बैअ़ का है कि जब तक बैअ़ की तस्लीम नहीं की वापसी का हक़ उसको है। वकील ने ऐब पर मुत्तलअ़ होकर बैअ़ से रज़ा'मन्दी ज़ाहिर करदी तो अब वह बैअ़ वकील पर लाज़िम होगई वापसी का हक़ जाता रहा और मुवक्किल को इख़्तियार है चाहे उस बैअ़ को क़बूल करले और इन्कार कर देगा तो वकील की वह चीज़ होजायेगी मुवक्किल से कोई तअ़ल्लुक़ नहीं होगा। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– वकील बिल'बैअ़ ने चीज़ बैअ़ की मुश्तरी को मबीअ़ के ऐब पर इत्तिलाअ़ हुई अगर मुश्तरी ने स्मन वकील को दिया है तो वकील से वापस ले और मुवक्किल को दिया है तो

मुवक्किल से वापस ले और मुश्तरी ने वकील को दिया वकील ने मुवक्किल को देदिया उस सूरत में भी वकील से वापस लेगा। (बहरुर्राइक़)

मसअला.13:– मुश्तरी ने बैअ़ में ऐब पाया मुवक्किल उस ऐब का इक़रार करता है मगर वकील मुन्किर है मबीअ़ वापस नहीं हो सकती क्योंकि अ़क़्द के हुक़ूक़ वकील से मुतअ़ल्लिक़ हैं मुवक्किल अजनबी है उसका इक़रार कोई चीज़ नहीं और अगर वकील इक़रार करता है मुवक्किल इन्कार करता है वकील पर वापसी होजायेगी फिर अगर वह ऐब उस क़िस्म का है कि उतने दिनों में कि मुवक्किल के यहाँ से चीज़ आई पैदा नहीं हो सकता जब तो चीज़ मुवक्किल पर वापस होजायेगी और अगर वह ऐब ऐसा है कि उतने दिनों में पैदा होसकता है तो वकील को गवाहों से साबित करना होगा कि यह ऐब मुवक्किल के यहाँ था और अगर वकील के पास गवाह न हों तो मुवक्किल पर क़सम देगा अगर क़सम से इन्कार करे चीज़ वापस होगी और क़सम खाले तो वकील पर लाज़िम होगी। (बहरुर्राइक़)

मसअला.14:– वकील ने बैअ़ फ़ासिद के साथ चीज़ ख़रीदी या बेची अगर मुवक्किल स्मन देचुका है या मबीअ़ की तस्लीम करदी है और स्मन वसूल करके मुवक्किल को देचुका है बहर हाल वकील को बैअ़ फ़स्ख़ कर देने का इख़्तियार है और स्मन मुवक्किल से लेकर बाइअ़ को वापस करदे कि यह फ़स्ख़े बैअ़ हक़्क़े मुवक्किल की वजह से नहीं है कि उससे इजाज़त ले बल्कि ह़क़्क़े शरअ़ की वजह से है। (बहरुर्राइक़)

मसअला.15:– वकील को यह इख़्तियार है कि जब तक मुवक्किल से स्मन न वसूल करले चीज़ अपने क़ब्ज़े में रखे मुवक्किल को न दे ख़्वाह वकील ने स्मन अपने पास से बाइअ़ को देदिया हो या न दिया हो यह उस सूरत में है कि स्मन मुअज्जिल न हो और अगर समन मुअज्जिल हो यानी अदा की कोई मीआ़द मुक़र्रर हो तो मुवक्किल के हक़ में भी मुअज्जिल होगया यानी जब तक मीआ़द पूरी न हो मुवक्किल से मुतालबा नहीं कर सकता। अगर बैअ़ में स्मन मुअज्जिल न था बैअ़ के बाद बाइअ़ ने स्मन के लिये कोई मीआ़द मुक़र्रर करदी तो मुवक्किल पर मुअज्जिल न होगा यानी वकील उसी वक़्त उससे मुतालबा कर सकता है। (बहरुर्राइक़)

मसअला.16:– वकील ने हज़ार रुपये में चीज़ ख़रीदी बाइअ़ ने वह हज़ार वकील को हिबा कर दिये वकील मुवक्किल से पूरे हज़ार का मुतालबा करेगा और अगर बाइअ़ ने पाँचसौ हिबा कर दिये तो यह पाँचसौ मुवक्किल से साक़ित होगये बक़िया पाँचसौ का मुतालबा होगा और अगर पहले पाँचसौ हिबा कर दिये फिर पाँचसौ हिबा किये पहले पाँचसौ मुवक्किल से साक़ित होगये बाद वाले पाँच सौ का वकील मुतालबा कर सकता है। (बहर)

मसअला.17:– वकील ने स्मन वसूल करने के लिये मबीअ़ को रोक लिया उसके बाद मबीअ़ हलाक होगई तो वकील का नुक़सान हुआ मुवक्किल से कुछ नहीं ले सकता और रोकी नहीं थी और हलाक होगई तो मुवक्किल का नुक़सान हुआ मुवक्किल को स्मन देना होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.18:– बैअ़ सर्फ़ व सलम में मज्लिसे अ़क़्द (जहाँ ख़रीद व फ़रोख़्त हुई) में क़ब्ज़ा ज़रूरी है बिना क़ब्ज़ा जुदा हो जाना अ़क़्द को बातिल कर देता है उससे मुराद वकील की जुदाई है मुवक्किल के जुदा होने का एअ़तिबार नहीं फ़र्ज़ करो मुवक्किल भी वहाँ मौजूद था अ़क़्द के बाद क़ब्ज़ा से पहले मुवक्किल चलागया अ़क़्द बातिल न हुआ और वकील चलागया बातिल होगया अगर्चे मुवक्किल मौजूद हो। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.19:– वकील बिशशरा (चीज़ ख़रीदने का वकील) को मुवक्किल ने रुपये देदिये थे उसने चीज़ ख़रीदी और दाम नहीं दिये वह चीज़ मुवक्किल को देदी और मुवक्किल के रुपये ख़र्च कर डाले और बाइअ़ अपने पास से देदे यह ख़रीदारी मुवक्किल ही के हक़ में होगी और अगर दूसरे रुपये से चीज़ ख़रीदी मगर अदा किये मुवक्किल के रुपये तो ख़रीदारी वकील के हक़ में होगी मुवक्किल के

लिये ज़मान देना होगा। (बहर)

मसअ्ला.20:– वकील बिश्शरा ने मुवक्किल से स्मन नहीं लिया है तो यह नहीं कह सकता कि मुवक्किल से मिलेगा तब दूँगा उसे अपने पास से देना होगा और वकील बिलबैअ् ने चीज़ बेचडाली और अभी दाम नहीं मिले हैं तो मुवक्किल से कह सकता है कि मुश्तरी देगा तो दूँगा उसको इस पर मजबूर नहीं किया जा सकता है कि अपने पास से देदे। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.21:– वकील बिल बैअ् ने मुवक्किल से कहा कि मैंने तुम्हारा कपड़ा फुलाँ के हाथ बेच डाला मैं उसकी त़रफ़ से तुम्हें अपने पास से दाम दे देता हूँ तो मुतबर्रअ् (एहसान) है मुश्तरी से नहीं ले सकता। और अगर यह कहा कि मैं तुम्हें अपने पास से दाम दे देता हूँ मुश्तरी के ज़िम्मे जो दाम हैं वह मैं ले लूँगा इस त़रह देना जाइज़ नहीं जो कुछ मुवक्किल को दिया उससे वापस ले। (बहर)

मसअ्ला.22:– आड़ती के पास लोग अपने माल रख देते हैं और बेचने को कह देते हैं उसने चीज़ बैअ् की और अपने पास से दाम देदिये कि मुश्तरी से मिलेंगे तो मैं लेलूँगा मुश्तरी मुफ़्लिस होगया उससे मिलने की उम्मीद नहीं तो जो कुछ आढ़ती ने माल वालों को दिया है उनसे वापस लेसकता है(बहर)

मसअ्ला.23:– मुवक्किल ने वकील को हज़ार रुपये चीज़ ख़रीदने के लिये दिये उसने चीज़ ख़रीदी मगर अभी बाइअ् को स्मन अदा नहीं किया और वह रुपये ज़ाइअ् होगये तो मुवक्किल के ज़ाइअ् हुए या'नी उसको दोबारा देना होगा और अगर मुवक्किल ने पहले रुपये नहीं दिये हैं वकील के ख़रीदने के बा'द दिये और बाइअ् को अभी दिये नहीं रुपये ज़ाइअ होगये तो वकील के हलाक हुए और अगर पहले देदिये थे और वकील ने बाइअ् को नहीं दिये और हलाक होगये तो वकील मुवक्किल से दोबारा लेगा और उस मरतबा भी हलाक होगये तो अब मुवक्किल से नहीं ले सकता अपने पास से देना होगा। (बहर)

मसअ्ला.24:– गुलाम ख़रीदने के लिये हज़ार रुपये किसी ने दिये थे रुपये घर में रखकर बाज़ार गया और गुलाम ख़रीदलाया या बाइअ् को रुपया देना चाहता है देखता है कि रुपये चोरी गये और गुलाम भी उसी के घर मरगया एक त़रफ़ बाइअ् आया कि रुपया दो दूसरी त़रफ़ मुवक्किल आता है कहता है गुलाम लाओ उसका हुक्म यह है कि मुवक्किल से हज़ार रुपये लेकर बाइअ् को दे और पहले के रुपये और गुलाम यह हलाक हुए मुवक्किल उनका कोई मुआवज़ा नहीं ले सकता कि अमानत थे। (ख़ानिया)

मसअ्ला.25:– एक शख़्स से कहा कि एक रुपये का पाँच सेर गोश्त लादो वह एक रुपया का दस सेर गोश्त लाया और गोश्त भी वह है जो बाज़ार में रुपये का पाँच सेर मिलता है मुवक्किल को सिर्फ़ पाँच सेर आठ आने में लेना ज़रूरी है और बाक़ी गोश्त वकील के ज़िम्मे। और अगर पाव आध सेर ज़ाइद लाया है मगर उतने ही में जितने में मुवक्किल ने बताया था तो यह ज़्यादती मुवक्किल के ज़िम्मे लाज़िम है उसके लेने से इन्कार नहीं कर सकता और अगर गोश्त रुपये का पाँच सेर वाला नहीं है बल्कि यह गोश्त रुपये का दस सेर बिकता है तो उसमें से मुवक्किल को कुछ लेना ज़रूर नहीं यही हुक्म हर वज़नी चीज़ का है और अगर क़ीमती चीज़ हो मसलन यह कहा कि पाँच रुपये का मलमल का थान लाओ वकील पाँच रुपये में दो थान लाया मगर थान वही है जो बाज़ार में पाँच का आता है तो मुवक्किल को लेना लाज़िम नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.26:– एक चीज़ मुअ़य्यन करके कहा कि यह चीज़ मेरे लिये ख़रीद लाओ मस्लन यह बकरी, यह गाय, यह भैंस तो वकील को वह चीज़ अपने लिये या मुवक्किल के एलावा किसी दूसरे के लिये ख़रीदना जाइज़ नहीं अगर वकील की नियत अपने लिये ख़रीदने की है या मुँह से कहदिया कि उस को अपने लिए या फ़ुलाँ के लिये ख़रीदता हूँ जब भी वह चीज़ मुवक्किल ही के लिये है। (हिदाया)

मसअ्ला.27:– वकील मज़कूर ने मुवक्किल की मौजूदगी में चीज़ अपने लिये ख़रीदी या'नी साफ़ तौर पर कहदिया कि अपने लिये ख़रीदता हूँ या स्मन जो कुछ उसने बताया था उसके ख़िलाफ़ दूसरी जिन्स को स्मन किया उसने रुपया कहा था उसने अशर्फ़ी या नोट से वह चीज़ ख़रीदी या

मुवक्किल ने समन की जिन्स को मुअय्यन नहीं किया था उसने नुकूद के एलावा दूसरी चीज़ के एवज़ में ख़रीदी या उसने खुद नहीं ख़रीदी बल्कि दूसरे को ख़रीदने के लिये वकील किया और उसने उसकी अदमे मौजूदगी में ख़रीदी उन सब सूरतों में वकील की मिल्क होगी मुवक्किल की नहीं होगी और अगर वकील के वकील ने वकील की मौजूदगी में ख़रीदी तो मुवक्किल की होगी। (बहर)

मसअ्ला.28:– गै़र मुअय्यन चीज़ ख़रीदने के लिये वकील किया तो जोकुछ ख़रीदेगा वह खुद वकील के लिये है मगर दो सूरतों में मुवक्किल के लिये है एक यह कि ख़रीदारी के वक़्त उसने मुवक्किल के लिये ख़रीदने की नियत की दूसरी यह कि मुवक्किल के माल से ख़रीदी यानी अक़्द को वकील ने माले मुवक्किल की तरफ़ निस्बत किया मस्लन यह चीज़ फुलाँ के रुपये से ख़रीदता हूँ। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.29:– अक़्द को अपने रुपये की तरफ़ निस्बत किया तो उसी के लिये है और अगर अक़्द को मुतलक़ रुपये से किया न यह कहा कि मुवक्किल के रुपये से न यह कि अपने रुपये से तो जो नियत हो अपने लिये नियत की तो अपने लिए, मुवक्किल के लिए नियत की तो मुवक्किल के लिये और अगर नियतों में इख़्तिलाफ़ है तो यह देखा जायेगा कि किसके रुपये उसने दिये अपने दिये तो अपने लिये ख़रीदी है मुवक्किल के दिये तो उसके लिये ख़रीदी है। (बहर)

मसअ्ला.30:– वकील व मुवक्किल में इख़्तिलाफ़ है वकील कहता है मैंने तुम्हारे (मुवक्किल के) लिये ख़रीदी है मुवक्किल कहता है तुमने अपने लिये ख़रीदी है उस सूरत में मुवक्किल का क़ौल मोअ्तबर है जब कि मुवक्किल ने रुपया न दिया हो और अगर मुवक्किल ने रुपया देदिया हो तो वकील का क़ौल मोअ्तबर है। (हिदाया)

मसअ्ला.31:– मुअय्यन गुलाम की ख़रीदारी का वकील किया था फिर वकील व मुवक्किल में इख़्तिलाफ़ हुआ अगर गुलाम ज़िन्दा है वकील का क़ौल मोअ्तबर है मुवक्किल ने दाम दिये हों या न दिये हों। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.32:– ख़रीदार ने कहा यह चीज़ मेरे हाथ ज़ैद के लिये बेचो उसने बेची उसके बाद ख़रीदार यह कहता है कि ज़ैद ने मुझे ख़रीदने का हुक्म नहीं किया था मक़सूद यह है कि उसको मैं खुद लूँगा ज़ैद को न दूँगा अगर ज़ैद लेना चाहता है तो चीज़ लेलेगा और ख़रीदार का इन्कार लग्व व बेकार है। हाँ अगर ज़ैद भी यही कहता है कि मैंने उसे हुक्म नहीं दिया था तो ख़रीदार लेगा ज़ैद को नहीं मिलेगी मगर जब कि बा'वजूद उसके कि ज़ैद ने कहदिया है कि मैंने उससे लेने को नहीं कहा है ख़रीदार ने वह चीज़ ज़ैद को देदी और ज़ैद ने लेली तो अब ज़ैद की होगई और यह तआती के तौर पर ज़ैद से बैअ् हुई। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.33:– दो चीज़ें ख़रीदने के लिये हुक्म दिया ख़्वाह दोनों मुअय्यन हों या गै़र मुअय्यन और समन मुअय्यन नहीं किया है कि उतने में ख़रीदी जायें वकील ने एक ख़रीदी अगर यह वाजिबी कीमत (मोअय्यन क़ीमत) में ख़रीदी है या ख़फ़ीफ़ सी ज़्यादती के साथ ख़रीदी कि उतनी ज़्यादती के साथ लोग ख़रीद लेते हों तो यह बैअ् मुवक्किल के लिये होगी और अगर बहुत ज़्यादा दामों के साथ ख़रीदी तो मुवक्किल के लिये लेना ज़रूर नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.34:– दो चीज़ें ख़रीदने के लिये वकील किया और समन मुअय्यन करदिया है मस्लन हज़ार रुपये में दोनों ख़रीदो और फ़र्ज़ करो कि दोनों क़ीमत में यकसाँ हैं वकील ने एक को पाँचसौ या कम में ख़रीदा तो मुवक्किल पर नाफ़िज़ है और पाँचसौ से ज़्यादा में ख़रीदी अगर्चे थोड़ी ही ज़्यादती हो तो मुवक्किल पर नाफ़िज़ नहीं मगर जब कि दूसरी बाक़ी रुपये में मुवक्किल के मुक़द्दमा दाइर करने से पहले ख़रीदले मस्लन पहली साढ़े पाँचसौ में ख़रीदी और दूसरी साढ़े चारसौ में कि दोनों एक हज़ार में होगई अब दोनों मुवक्किल पर लाज़िम हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.35:– ज़ैद का अम्र पर दैन है ज़ैद ने अम्र से कहा कि तुम्हारे ज़िम्मे जो मेरे रुपये हैं उनके बदले फुलाँ चीज़ मुअय्यन मेरे लिए ख़रीदलो या फुलाँ से फुलाँ चीज़ ख़रीदलो यानी चीज़

मुअ़य्यन करदी हो या बाइअ् को मुअ़य्यन करदिया हो यह तौकील सहीह है अम्र ख़रीदकर जब वह रुपया बाइअ् को देदेगा ज़ैद के दैन से बरियुज़्ज़िम्मा होजायेगा ज़ैद न तो चीज़ के लेने से इन्कार कर सकता है न अब दैन का मुतालबा कर सकता है और अगर न चीज़ को मुअ़य्यन किया न बाइअ् को मुअ़य्यन किया और मदयून ने चीज़ ख़रीदली और रुपया अदा कर दिया तो बरियुज़्ज़िम्मा नहीं हुआ ज़ैद उससे दैन का मुतालबा कर सकता है और वह चीज़ जो ख़रीदी है मदयून की है ज़ैद उसके लेने से इन्कार कर सकता है और फ़र्ज़ करो हलाक होगई तो मदयून की हलाक हुई ज़ैद से तअ़ल्लुक़ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.36:– दाइन ने मदयून से कहदिया कि मेरा रुपया जो तुम्हारे ज़िम्मे है उसे ख़ैरात करदो यह कहना सहीह है ख़ैरात करदेगा तो दाइन की तरफ़ से होगा अब दैन का मुतालबा नहीं कर सकता यूँहीं मालिक मकान ने किरायादार से यह कहा कि किराया जो तुम्हारे ज़िम्मे है उससे मकान की मरम्मत करादो उसने करादी दुरुस्त है किराया का मुतालबा नहीं होसकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.37:–एक चीज़ हज़ार रुपये में ख़रीदने को कहा था और रुपये भी देदिये उसने ख़रीदली और चीज़ भी ऐसी है जिसकी वाजिबी क़ीमत हज़ार रुपये है वह शख़्स कहता है यह पाँचसौ में तुमने ख़रीदी है और वकील कहता है नहीं मैंने हज़ार में ख़रीदी है उसमें वकील का क़ौल मोअ्तबर होगा और अगर वाजिबी क़ीमत उसकी पाँचसौ ही है तो मुवक्किल का क़ौल मोअ्तबर है और अगर रुपये नहीं दिये हैं और वाजिबी क़ीमत पाँचसौ है जब भी मुवक्किल का क़ौल मोअ्तबर है और अगर वाजिबी क़ीमत हज़ार है तो दोनों पर हल्फ़ दिया जायेगा अगर दोनों क़सम खाजायें तो अक़्द फ़स्ख़ होजायेगा और वह चीज़ वकील के ज़िम्मा लाज़िम होजायेगी। (दुर्रेमुख़्तार, बहर)

मसअ्ला.38:– मुवक्किल ने चीज़ को मुअ़य्यन कर दिया है मगर समन नहीं मुअ़य्यन किया कि कितने में ख़रीदना और यही इख़्तिलाफ़ हुआ यानी वकील कहता है मैंने हज़ार में ख़रीदी है मुवक्किल कहता है पाँचसौ में ख़रीदी है यहाँ भी दोनों पर हल्फ़ है अगर्चे बाइअ् वकील की तस्दीक़ करता हो कि उसकी तस्दीक़ का कुछ लिहाज़ नहीं क्योंकि यह उस मुआमले में अजनबी है और बादे हल्फ़ वह चीज़ वकील पर लाज़िम है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.39:– मुवक्किल यह कहता है मैंने तुमसे कहा था कि पाँचसौ में ख़रीदना और वकील कहता है तुमने हज़ार रुपये में ख़रीदने को कहा था यहाँ मुवक्किल का क़ौल मोअ्तबर है और अगर दोनों गवाह पेश करें तो वकील के गवाह मोअ्तबर हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.40:– एक शख़्स से कहा था कि मेरी यह चीज़ उतने में बैअ् करदो और उस वक़्त उस चीज़ की उतनी ही क़ीमत थी मगर बाद में क़ीमत ज़्यादा होगई तो वकील को उतनी में बेचना अब दुरुस्त नहीं यानी नहीं बेच सकता। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.41:– ख़रीद व फ़रोख़्त व इजारा व बैअ् सलम व बैअ् सर्फ़ का वकील उन लोगों के साथ अक़्द नहीं कर सकता जिनके हक़ में उसकी गवाही मक़बूल नहीं अगर्चे वाजिबी क़ीमत के साथ अक़्द किया हो हाँ अगर मुवक्किल ने उसकी इजाज़त देदी हो कहदिया हो कि जिसके साथ तुम चाहो अक़्द करो तो उन लोगों से वाजिबी क़ीमत पर अक़्द कर सकता है और अगर मुवक्किल ने आम इजाज़त नहीं दी है और वाजिबी क़ीमत से ज़्यादा पर उन लोगों के हाथ चीज़ बैअ् की तो जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.42:– वकील को यह जाइज़ नहीं कि उस चीज़ को ख़ुद ख़रीदले जिसकी बैअ् के लिये उस को वकील किया है यानी यह बैअ् ही नहीं होसकती कि ख़ुद ही बाइअ् हुआ और ख़ुद मुश्तरी(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.43:– मुवक्किल ने उन लोगों से बैअ् की सरीह लफ़्ज़ों में इजाज़त देदी हो जब भी अपनी ज़ात या नाबालिग़ लड़के या अपने ग़ुलाम के हाथ जिसपर दैन न हो बैअ् करना जाइज़ नहीं।(बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.44:– वकील कम या ज़्यादा जितनी क़ीमत पर चाहे ख़रीद व फ़रोख़्त कर सकता है जब कि तोहमत की जगह न हो और मुवक्किल ने दाम बताये न हों मगर बैअ् सर्फ़ में ग़ब्ने फ़ाहिश के

साथ बैअ् करना दुरुस्त नहीं और वकील यह भी कर सकता है कि चीज़ को ग़ैर नुकूद के बदले में बैअ् करे। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला.45:– बैअ् का वकील चीज़ उधार भी बैअ् कर सकता है जबकि मुवक्किल बतौर तिजारत चीज़ बेचना चाहता हो और अगर ज़रूरत व हाजत के लिये बैअ् करता है मस्लन ख़ानादारी की चीज़ें ज़रूरत के वक़्त बेच डालते हैं उस सूरत में वकील को उधार बेचना जाइज़ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.46:– औरत ने सूत कातकर किसी को बेचने के लिये दिया और उधार बेचना जाइज़ नहीं ग़र्ज़ अगर क़रीने (किसी चीज़ के इशारे) से यह साबित हो कि मुवक्किल की मुराद नक़्द बेचना है तो उधार बेचना दुरुस्त नहीं और जहाँ उधार बेचना दुरुस्त है उससे मुराद उतने ज़माने के लिये उधार बेचना है जिसका रिवाज हो और अगर ज़माना तवील कर दिया मस्लन आम तौर पर लोग एक महीने की मुद्दत देते थे उसने ज़्यादा करदी यह जाइज़ नहीं बहर। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.47:– मुवक्किल ने कहा उस चीज़ को सौ रुपये में उधार बेचदेना उसने सौ रुपये नक़्द में बेचदी यह जाइज़ है और अगर मुवक्किल ने दाम न बताये हों यह कहा कि उसको उधार बेचना वकील ने नक़्द बेचदी यह जाइज़ नहीं। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.48:– वकालत को ज़माना या मकान के साथ मुक़य्यद करना दुरुस्त है यानी मुवक्किल ने कह दिया कि उसको कल बेचना या ख़रीदना या फ़ुलाँ जगह ख़रीदना या बेचना वकील आज अक़्द नहीं कर सकता न उस जगह के एलावा दूसरी जगह कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.49:– वकील से कहा जाओ बाज़ार से फ़ुलाँ चीज़ फ़ुलाँ शख़्स की मारिफ़त ख़रीद लाओ वकील ने बिग़ैर उसकी मारिफ़त के ख़रीदी यह दुरुस्त है यानी अगर वह चीज़ ज़ाइअ् होगई तो वकील ज़ामिन नहीं और अगर यह कहा था कि बिग़ैर उसकी मारिफ़त के मत ख़रीदना वकील ने बिग़ैर मारिफ़त ख़रीदली यह जाइज़ नहीं हलाक होजाये तो वकील का नुक़सान है मुवक्किल से तअ़ल्लुक़ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.50:– ऐसी चीज़ बेचने के लिये वकील किया है जिसमें बारबर्दारी सर्फ़ (माल ढोने की मजदूरी ख़र्च) होगी और वकील व मुवक्किल दोनों एक ही शहर में हैं तो उससे मुराद उसी शहर में बेचना है दूसरे शहर में लेजाना जाइज़ नहीं फ़र्ज़ करो दूसरी जगह बार कराके लेगया और चोरी गई या ज़ाइअ् होगई वकील को तावान देना होगा। और अगर बारबर्दारी का सर्फ़ा न होता हो और मुवक्किल ने जगह की तअ़ईन (ख़ास) नहीं की है तो उस शहर की खुसूसियत नहीं वकील को इख़्तियार है, जहाँ चाहे लेजाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.51:– मुवक्किल ने वकील पर कोई शर्त करदी है जो पूरी तौर पर मुफ़ीद है वकील को उस शर्त की रिआयत वाजिब है मस्लन कहा था उसको ख़्यार के साथ बैअ् करना वकील ने बिला ख़ियार बैअ् करदी यह जाइज़ नहीं। मुवक्किल ने कहा था कि मेरे लिये उसमें ख़्यार रखना और ख़्यार की शर्त नहीं की जब तो बैअ् ही जाइज़ नहीं और अगर मुवक्किल के लिये ख़्यार शर्त किया तो वकील व मुवक्किल दोनों के लिये होगा मुवक्किल ने मुतलक़ बैअ की इजाज़त दी वकील ने मुवक्किल या अजनबी के लिए ख़्यारे शर्त किया यह बैअ् सहीह है। मुवक्किल ने ऐसी शर्त लगाई जिसका कोई फ़ायदा नहीं उसका कोई एअ्तिबार नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.52:– वकील ने उधार बेची तो सम्न के लिये मुश्तरी से कफ़ील (जिम्मेदार) ले सकता है या सम्न के मुक़ाबिल में कोई चीज़ रहन रख सकता है लिहाज़ा इस सूरत में वकील के पास से रहन की चीज़ हलाक होगई या कफ़ील से वसूली की कोई सूरत ही न रही तो वकील ज़ामिन नहीं(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.53:– मुवक्किल ने कहदिया है कि जिसके हाथ बैअ् करो उससे कफ़ील लेना या कोई चीज़ रहन रख लेना वकील ने बिग़ैर रहन व किफ़ालत बैअ् करदी यह जाइज़ नहीं। वकील व मुवक्किल में इख़्तिलाफ़ हुआ मुवक्किल कहता है मैंने रहन या किफ़ालत के लिये कहा था वकील

कहता है नहीं कहा था उसमें मुवक्किल का क़ौल मोअ्तबर है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.54:– वकील ने बैअ् की और मुश्तरी की तरफ़ से समन की ख़ुद ही किफ़ालत की यह किफ़ालत जाइज़ नहीं और अगर वह बैअ् का वकील नहीं है बल्कि मुश्तरी से समन वसूल करने के लिये वकील है यह मुश्तरी की तरफ़ से समन की किफ़ालत करता है जाइज़ है और मुश्तरी से समन मुआफ़ करदे तो मुआफ़ न होगा। (ख़ानिया)

मसअ्ला.55:– वकील ने मुश्तरी से समन वसूल करने में ताख़ीर करदी यानी बैअ् के बाद उसके लिये मीआद मुक़र्रर करदी या समन मुआफ़ करदिया या मुश्तरी ने हवाला करदिया उसने क़बूल करलिया या उसने खोटे रुपये देदिये उसने लेलिये यह सब दुरुस्त है यानी जो कुछ कर चुका है मुश्तरी से उसके ख़िलाफ़ नहीं कर सकता मगर मुवक्किल के लिये तावान देना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.56:–जो शख़्स ख़रीदने का वकील हुआ उसकी ख़रीदारी के लिये मुवक्किल ने समन की तअ्ईन न की हो तो उतने ही दाम के साथ ख़रीद सकता है जो चीज़ की असली क़ीमत है या कुछ ज़्यादा के साथ ख़रीद सकता है कि आम तौर पर लोगों के ख़रीदने में यह दाम होते हों यह उन चीज़ों में है जिनका समन (क़ीमत) मअ्रूफ़ व मशहूर न हो और अगर समन मअ्रूफ़ है जैसे रोटी, गोश्त, डबल रोटी, बिस्किट और उनके एलावा बहुत सी चीज़ें उनको वकील ने ज़्यादा समन से ख़रीदा अगर्चे बहुत थोड़ी ज़्यादती है मसलन चार पैसे में चार रोटियाँ आती हैं उसने पाँच की चार ख़रीदीं यह बैअ् मुवक्किल पर नाफ़िज़ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.57:– चीज़ बेचने के लिये वकील किया वकील ने उसमें से आधी बेचदी और चीज़ ऐसी है जिसमें तक़सीम न होसके जैसे लौन्डी, ग़ुलाम, गाय, बकरी, कि उनमें तक़सीम नहीं हो सकती अगर मुवक्किल के दअ्वा करने से पहले वकील ने दूसरा निस्फ़ भी बेचदिया जब तो जाइज़ है वरना नहीं और अगर चीज़ ऐसी है जिसके हिस्सा करने में नुक़सान न हो जैसे जौ, गेहूँ तो निस्फ़ की बैअ् सहीह है चाहे बाक़ी को बैअ् करे या न करे और अगर ख़रीदने का वकील है और आधी चीज़ ख़रीदी तो जब तक बाक़ी को ख़रीद न ले मुवक्किल पर नाफ़िज़ न होगी उस चीज़ के हिस्से हो सकते हों या न हो सकें दोनों का एक हुक्म है। (दुर्रेमुख़्तार, बहर)

मसअ्ला.58:– मुश्तरी ने मबीअ् में ऐब पाया और वकील पर उसको रद कर दिया उसकी चन्द सूरतें हैं मुश्तरी ने गवाहों से ऐब साबित किया है या वकील पर हल्फ़ दिया गया उसने हल्फ़ से इन्कार किया या ख़ुद वकील ने ऐब का इक़रार किया बशर्ते कि उस तीसरी सूरत में वह ऐब ऐसा हो कि उस मुद्दत में पैदा नहीं होसकता उन तीनों सूरतों में वकील पर रद मुवक्किल पर रद है और अगर ऐब ऐसा है जिसका मिस्ल उस मुद्दत में पैदा होसकता है और वकील ने उसका इक़रार कर लिया तो वकील पर रद मुवक्किल पर रद नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.59:– मबीअ् ऐसे ऐब की वजह से जिसका मिस्ल हादिस हो सकता है वकील पर ब'वजहे इक़रार के रद कीगई इस सूरत में वकील को मुवक्किल पर दअ्वा करने का हक़ है गवाहों से अगर मुवक्किल के यहाँ ऐब होना साबित करदेगा या ब'सूरत गवाह न होने के मुवक्किल पर हल्फ़ दिया ज़ायेगा अगर हल्फ़ से इन्कार करदेगा तो मुवक्किल पर रद करदी जायेगी और अगर वकील पर रद किया जाना क़ाज़ी के हुक्म से न हो बल्कि ख़ुद वकील ने अपनी रज़ा'मन्दी से चीज़ वापस ली तो अब मुवक्किल पर दअ्वा करने का भी हक़ नहीं है कि उस तरह वापसी हक़्क़े सालिस में बैअ् जदीद है। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.60:– वकालत में अस्ल ख़ुसूस है क्योंकि उमूमन यही होता है कि वकील के लिए मुअय्यन करके काम बताया जाता है उमूम बहुत कम होता है और मुज़ारबत में उमूम अस्ल है यानी आम तौर पर मुज़ारिब को उमूरे तिजारत में वसीअ् इख़्तियार दिये जाते हैं क्योंकि मज़ारिब के लिये पाबन्दी अकसर मौक़े पर अस्ल मक़सूद के मनाफ़ी होती है उस क़ाइदा–ए–कुल्लिया की तफ़रीअ् यह है कि वकील ने उधार बेचा मुवक्किल ने कहा मैंने तुमसे नक़द बेचने को कहा था वकील कहता है तुमने

मुतलक़ रखा था नक़द या उधार किसी की तख़सीस नहीं थी मुवक्किल की बात मानी जायेगी और यही सूरत मुज़ारबत में हो कि रब्बुलमाल कहता है मैंने नक़द बेचने को कहा था और मुज़ारिब कहता है नक़द उधार किसी की तअ़्ईन न थी तो मज़ारिब की बात मानी जायेगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.61:– वकील मुद्दई है कि मैंने चीज़ बेचदी और समन पर क़ब्ज़ा भी कर लिया मगर समन हलाक होगया और मुश्तरी भी वकील की तस्दीक़ करता है मुवक्किल कहता है दोनों झूटे हैं वकील की बात क़सम के साथ मोअ्तबर है। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.62:– मुवक्किल कहता है मैंने तुझको वकालत से जुदा करदिया वकील कहता है वह चीज़ तो मैंने कल ही बेचडाली वकील की बात नहीं मानी जायेगी। (बह्र)

दो शख़्सों के वकील करने के अह़काम

मसअ्ला.63:– एक शख़्स ने दो शख़्सों को वकील किया तो उन में से एक तन्हा तसर्रुफ़ नहीं कर सकता अगर करेगा मुवक्किल पर नाफ़िज़ नहीं होगा दूसरा मजनून होगया या मरगया जब भी उस एक को तसर्रुफ़ करना जाइज़ यह उस सूरत में है कि उस काम में दोनों की राय और मश्वरा की ज़रूरत हो मस्लन अगर्चे समन भी बतादिया हो और यह हुक्म वहाँ है कि दोनों को एक साथ वकील बनाया यानी यह कहा मैंने दोनों को वकील किया या ज़ैद व अ़म्र को वकील किया और अगर दोनों को एक कलाम में वकील न बनाया हो आगे पीछे वकील किया हो तो हर एक बिग़ैर दूसरे की राय के तसर्रुफ़ कर सकता है। (बह्र)

मसअ्ला.64:– दो शख़्सों को मुक़द्दमे की पैरवी के लिये वकील किया तो ब'वक़्ते पैरवी दोनों का मुजतमअ़् (इकट्ठा) होना ज़रूरी नहीं तन्हा एक भी पैरवी कर सकता है ब'शर्ते कि उमूरे मुक़द्दमा में दोनों की राय मुजतमअ़् हो। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.65:– ज़ौजा को बिग़ैर माल के त़लाक़ देने के लिये या ग़ुलाम को बिग़ैर माल आज़ाद करने के लिये दो शख़्सों को वकील किया उनमें तन्हा एक शख़्स त़लाक़ देसकता है आज़ाद कर सकता है यहाँ तक कि एक ने त़लाक़ देदी और दूसरा इन्कार करता है जब भी त़लाक़ होगई यूँहीं किसी की अमानत वापस करने के लिये या आ़रियत फेरने के लिये या ग़सब की हुई चीज़ देने के लिये या बैअ़् फ़ासिद में रद करने के लिये दो वकील किये तन्हा एक शख़्स बिग़ैर मुशारकत दूसरे के यह सब काम कर सकता है। ज़ौजा को त़लाक़ देने के लिए दो शख़्सों को वकील किया और कहदिया कि तन्हा एक शख़्स त़लाक़ न दे बल्कि दोनों जमा होकर मुत्तफ़िक़ होकर त़लाक़ दें और एक ने त़लाक़ देदी दूसरे ने नहीं दी या एक ने त़लाक़ दी दूसरे ने उसे जाइज़ किया त़लाक़ न हुई और अगर कहा कि तुम दोनों मुजतमेअ़् होकर उसे तीन त़लाक़ें देदेना एक ने एक त़लाक़ दी दूसरे ने दो त़लाक़ें दीं एक भी नहीं हुई जब तक मुजतमअ़् होकर दोनों तीन त़लाक़ें न दें। यूँहीं दो शख़्सों से कहा कि मेरी औ़रतों में से एक को तुम दोनों त़लाक़ देदो और औ़रत को मुअ़य्यन न किया तो तन्हा एक शख़्स त़लाक़ नहीं दे सकता। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.66:– दो शख़्सों को किसी औ़रत से निकाह़ करने के लिये वकील किया या औ़रत ने दो शख़्सों को निकाह़ का वकील किया तन्हा एक वकील निकाह़ नहीं कर सकता अगर्चे मुवक्किल ने महर का तअ़य्युन भी कर दिया हो। ख़ुलअ़् के लिए दो शख़्सों को वकील किया तन्हा एक शख़्स ख़ुलअ़् नहीं कर सकता अगर्चे बदले ख़ुलअ़् भी ज़िक्र कर दिया हो। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.67:– अमानत या आ़रियत या मग़सूब शय को वापस लेने के लिये दो शख़्सों को वकील किया तो तन्हा एक शख़्स वापस नहीं ले सकता जब तक उसका साथी भी शरीक न हो फ़र्ज़ करो अगर तन्हा एक ने वापस ली और ज़ाइअ़् हुई तो उसे पूरी चीज़ का तावान देना होगा। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.68:– दैन अदा करने के लिये दो वकील किये तो एक तन्हा भी अदा कर सकता है दूसरे की शिरकत ज़रूरी नहीं और दैन वसूल करने के लिये दो वकील किये तो तन्हा एक वसूल नहीं

कर सकता। (बहर)

मसअला.69:– दैन वसूल करने के लिये दो शख़्सों को वकील किया और मुवक्किल ग़ाइब होगया और एक वकील भी ग़ायब होगया जो वकील मौजूद था उसने दैन का मुतालबा किया मदयून दैन का इक़रार करता है मगर वकालत से इन्कार करता है वकील ने गवाहों से साबित किया कि फ़ुलाँ शख़्स ने दैन वसूल करने का मुझे और फ़ुलाँ शख़्स को वकील किया है उस सूरत में क़ाज़ी दोनों की वकालत का हुक्म देगा दूसरा वकील जो ग़ायब है जब आयेगा उसे गवाह पेश करने की ज़रूरत न होगी बल्कि दोनों दैन वसूल कर लेंगे। (आलमगीरी)

मसअला.70:– वाहिब (हिबा करने वाले) ने दो शख़्सों को वकील किया कि यह चीज़ फ़ुलाँ मौहूब लहू को तस्लीम करदो उनमें का एक शख़्स तस्लीम कर सकता है और अगर मौहूब लहू ने क़ब्ज़ा के लिये दो शख़्सों को वकील किया तो तन्हा एक शख़्स क़ब्ज़ा नहीं कर सकता और अगर दो शख़्सों को वकील किया कि यह चीज़ किसी को हिबा करदो और मौहूब लहू को मुअय्यन नहीं किया तो एक शख़्स किसी को हिबा नहीं कर सकता और अगर मोहूब लहू को मुअय्यन कर दिया है तो एक शख़्स हिबा कर सकता है। (बहरुर्राइक़)

मसअला.71:– रहन एक शख़्स तन्हा नहीं रख सकता मकान या ज़मीन किराये पर लेने के लिये दो वकील किये तन्हा एक ने किराये पर लिया तो वकील के इजारे में हुआ फिर अगर वकील ने मुवक्किल को देदिया तो यह वकील व मुवक्किल के माबैन एक जदीद इजारा बतौर तआती मुन्अक़िद हुआ। (आलमगीरी)

मसअला.72:– यह कहा कि मैंने तुम दोनों में से एक को फ़ुलाँ चीज़ के ख़रीदने का वकील किया दोनों ने ख़रीदली अगर आगे पीछे ख़रीदी है तो पहले की चीज़ मुवक्किल की होगी और दूसरे ने जो ख़रीदी है वह खुद उस वकील की होगी और अगर दोनों ने ब'यक वक़्त ख़रीदी तो दोनों चीज़ें मुवक्किल की होंगी। (आलमगीरी)

मसअला.73:– एक शख़्स से कहा मेरी यह चीज़ बेचदो फिर दूसरे से भी उसी चीज़ के बेचने को कहा और दोनों ने दो शख़्सों के हाथ बैअ् करदी अगर मालूम है कि किसी ने पहले बैअ् की तो जिसने पहले ख़रीदी है चीज़ उसी की है और मालूम न हो तो दोनों मुश्तरी उस में निस्फ़ निस्फ़ के शरीक हैं और हर एक को इख़्तियार है कि निस्फ़ समन के साथ ले या न ले और अगर दोनों ने एक ही शख़्स के हाथ बैअ् की और दूसरे ने ज़्यादा दामों में बेची दूसरी बैअ् जाइज़ है। (आलमगीरी)

वकील काम करने पर कहाँ मजबूर है और कहाँ नहीं

मसअला.74:– एक शख़्स को वकील किया है कि वह अपने माल से या मुवक्किल के माल से दैन अदा करदे उसको अदा करने पर मजबूर नहीं किया जासकता मगर जब कि वकील के ज़िम्मे खुद मुवक्किल का दैन है और मुवक्किल ने उससे दूसरे का दैन जो मुवक्किल पर है अदा करने को कहा। उसी की खुसूसियत नहीं बल्कि किसी जगह भी वकील उस काम पर मजबूर नहीं किया जा सकता जिस के लिये वकील हुआ है मसलन यह कहा कि मेरी यह चीज़ बेचकर फ़ुलाँ का दैन अदा करदो वकील उसके बेचने पर मजबूर नहीं या यह कहदिया हो कि मेरी औरत को तलाक़ देदो वकील तलाक़ देने पर मजबूर नहीं अगर्चे औरत तलाक़ मांगती हो या गुलाम आज़ाद करदो या फ़ुलाँ शख़्स को यह चीज़ हिबा करदो या फ़ुलाँ के हाथ यह चीज़ बैअ् करदो। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअला.75:– बाज़ बातों में वकील उस काम के करने पर मजबूर किया जायेगा इन्कार नहीं कर सकता। **(1) एक चीज़** मुअय्यन शख़्स को देने के लिये वकील किया था कि यह चीज़ फ़ुलाँ को दे आओ और मुवक्किल ग़ायब होगया वकील को उसे देना लाज़िम है। **(2) मुद्दई की तलब पर मुद्दआ** अलैह ने वकील किया और मुद्दआ अलैह ग़ायब होगया वकील को पैरवी करनी लाज़िम है। **(3) एक चीज़ रहन** रखी है और अक़्दे रहन के अन्दर या बाद में राहिन ने तौकील बिलबैअ् शर्त करदी उस

सूरत में वकील को बैअ़ करके मुरतहिन (जिसके पास चीज़ रहन रखी जाती है) का दैन अदा करना ज़रूरी है। **(4) जो वकील उजरत** पर काम करते हों जैसे दलाल आढ़ती वह काम करने पर मजबूर हैं इन्कार नहीं कर सकते। (दुर्रेमुख़्तार)

वकील दूसरे को वकील बना सकते हैं या नहीं

मसअ्ला.76:– वकील जिस चीज़ के बारे में वकील है बिग़ैर इजाज़ते मुवक्किल उसमें दूसरे को वकील नहीं कर सकता मस्लन ज़ैद ने अ़म्र से एक चीज़ ख़रीदने को कहा अ़म्र बकर से कहदे कि तू ख़रीदकर ला यह नहीं होसकता या़नी वकीलुलवकील जो कुछ करेगा वह मुवक्किल पर नाफ़िज़ नहीं होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.77:– वकील को मुवक्किल ने उसकी इजाज़त देदी है कि वह ख़ुद करदे या दूसरे से करादे तो वकील बनाना जाइज़ है या उस काम के लिये उसने इख़्तियारे ताम (पूरा इख़्तियार) देदिया है मस्लन कहदिया है कि तुम अपनी राय से काम करो उस सूरत में भी वकील बनाना जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.78:– एक शख़्स को ज़कात के रुपये देकर कहा कि फ़क़ीरों को देदो उसने दूसरे को कहा उसने तीसरे को कहा ग़र्ज़ यह कि जो भी फ़क़ीरों को देदेगा ज़कात अदा होजायेगी मुवक्किल को इजाज़त देने की भी ज़रूरत नहीं और अगर क़ुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिये एक को कहा उसने दूसरे से कहदिया दूसरे ने तीसरे से कहा ग़र्ज़ आख़िर वाले ने ख़रीदा तो अव्वल की इजाज़त पर मौक़ूफ़ है अगर जाइज़ करेगा जाइज़ होगा वरना नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.79:– इज़्न या तफ़वीज़ (काम उसकी राय पर सिपुर्द करने) की वजह से वकील ने दूसरे को वकील बनाया तो यह वकीले सानी (दूसरा वकील) वकील का वकील नहीं है बल्कि मुवक्किल का वकील है अगर वकीले अव्वल उसे मअ़ज़ूल करना चाहे मअ़ज़ूल नहीं कर सकता न उसके मरने से यह मअ़ज़ूल हो सकता है मुवक्किल के मरने से दोनों मअ़ज़ूल होजायेंगे। (बहर)

मसअ्ला.80:– वकील ने वह काम किया जिसके लिये वकील था और हुक़ूक़ में उसने दूसरे को वकील बनाया यह जाइज़ है उसके लिये न इज़्न की ज़रूरत है न तफ़वीज़ की मस्लन ख़रीदने का वकील था उसने ख़रीदा और मबीअ़ पर क़ब्ज़े के लिये या ऐ़ब की वजह से वापस करने के लिये या उसके मुतअ़ल्लिक़ दअ़्वा करना पड़े उसके लिये बिग़ैर इज़्न व तफ़वीज़ भी वकील कर सकता है कि उन सब कामों में वकील असील है। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.81:–वकील ने बिग़ैर इज़्न व तफ़वीज़ दूसरे को वकील करदिया दूसरे ने पहले की मौजूदगी या अ़दम मौजूदगी में काम किया और अव्वल ने उसे जाइज़ कर दिया तो जाइज़ होगया बल्कि किसी अजनबी ने करदिया उसने जाइज़ कर दिया जब भी जाइज़ होगया और अगर वकीले अव्वल ने सानी के लिए समन मुक़र्रर करदिया है कि चीज़ उतने में बेचना और सानी ने अव्वल की ग़ीबत (ग़ैर मौजूदगी) में बेचदी तो जाइज़ है या़नी अव्वल की राय से काम हो और यह बैअ़ मुवक्किल पर नाफ़िज़ होगी क्योंकि उसकी राय उस सूरत में यही है कि समन की मिक़दार मुतअ़य्यन करदे और यह काम उसने करदिया ख़रीदने के लिये वकील किया था और अजनबी ने ख़रीदी और वकील ने जाइज़ कर दी जब भी उसी अजनबी के लिये है।(दुर्रेमुहतार, बहर)

मसअ्ला.82:– ऐसी चीज़ें जो अ़क़्द नहीं हैं जैसे तलाक़, एताक़, उन में किसी को वकील किया वकील ने दूसरे को वकील करदिया सानी ने अव्वल की मौजूदगी में तलाक़ दी या अजनबी ने तलाक़ दी वकील ने जाइज़ करदी तलाक़ नहीं होगी। (दुर्रेमुख़्तार)

वकालते आ़म्मा व ख़ास्सा

मसअ्ला.83:– वकालत कभी ख़ास होती है कि एक मख़सूस काम मस्लन ख़रीदने या बेचने या निकाह या तलाक़ के लिये वकील किया कभी आ़म होती है कि हर क़िस्म के काम वकील को सिपुर्द कर देते हैं जिसको मुख़्तारे आ़म कहते हैं मस्लन कहदिया कि मैंने तुझे हर काम में वकील किया उस सूरत में वकील को तमाम मुआ़वज़ात ख़रीदना, बेचना, इजारा देना, लेना, सब काम का इख़्तियार हासिल होजाता है मगर बीवी को तलाक़ देना, ग़ुलाम को आज़ाद करना या दूसरे

तबर्रुआत मसलन किसी को उसकी चीज़ हिबा करदेना उसकी जायदाद को वक़्फ़ करदेना उस क़िस्म के कामों को वकील इख़्तियार नहीं रखता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.84:– किसी से कहा मैंने अपनी औरत का मुआमला तुम्हें सिपुर्द करदिया यह तलाक़ का वकील है मगर मज्लिस तक इख़्तियार रखता है बाद में नहीं और अगर यह कहा कि औरत के मुआमले में मैंने तुमको वकील किया तो मज्लिस तक मुक़तसर नहीं।(मज्लिस के एलावा भी इख़्तियार है)(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.85:– जिस शख़्स को दूसरे पर विलायत न हो उसके हक़ में अगर तसर्रुफ़ करेगा जाइज़ नहीं होगा मसलन ग़ुलाम या काफ़िर ने अपने ना'बालिग़ बच्चा हुर मुसलमान, (ना'बालिग़ आज़ाद मुसलमान) का माल बेचदिया या उसके बदले में कोई चीज़ ख़रीदी या अपनी ना'बालिग़ लड़की हुर्रा मुस्लिमा का निकाह किया यह जाइज़ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.86:– ना'बालिग़ के माल की विलायत उसके बाप को है फिर उसके वसी को है यह न हो तो उसके वसी को है यानी बाप का वसी दूसरे को वसी बना सकता है उसके बाद दादा को फिर दादा के वसी को फिर उस वसी के वसी को यह भी न हो तो क़ाज़ी को उसके बाद वह जिसको क़ाज़ी ने मुक़र्रर किया हो उसको वसी–ए–क़ाज़ी कहते हैं फिर उसको जिसको इस वसी ने वसी किया हो। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.87:– माँ मरगई या भाई मरा और उन्होंने तर्का छोड़ा और उस माल का किसी को वसी किया तो बाप या उसके वसी या वसी–ए–वसी या दादा या उसके वसी या वसी–ए–वसी के होते हुए माँ या भाई के वसी को कुछ इख़्तियार नहीं और अगर उन ज़िक्र में कोई नहीं है तो माँ या भाई के वसी के मुतअ़ल्लिक उस तर्का की हिफ़ाज़त है और उस तर्का में से सिर्फ़ मन्कूल चीज़ें बैअ् कर सकता है ग़ैर मन्कूला को बैअ् नहीं कर सकता और खाने और लिबास की चीज़ें ख़रीद सकता है व बस। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.88:– वसी क़ाज़ी भी वह तमाम इख़्तियार रखता है जो बाप का वसी रखता है हाँ अगर क़ाज़ी ने उसे किसी ख़ास बात का पाबन्द कर दिया तो पबान्द होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

वकील बिल ख़ुसूमा और वकील बिल क़ब्ज़ का बयान

मसअ्ला.1:– जिस शख़्स को ख़ुसूमत यानी मुक़द्दमा में पैरवी करने के लिये वकील किया है वह क़ब्ज़ा का इख़्तियार नहीं रखता यानी उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला हुआ और चीज़ दिलाई गई तो उस पर क़ब्ज़ा करना उस वकील का काम नहीं यूँहीं तक़ाज़ा करने का जिसको वकील किया है वह भी क़ब्ज़ा नहीं कर सकता। (दुर्रेमुख़्तार) मगर जहाँ उ़र्फ़ उस क़िस्म का हो कि जो तक़ाज़े को जाता है वही दैन वसूल भी करता है जैसाकि हिन्दुस्तान का उ़मूमन यही उ़र्फ़ है तुज्जार के यहाँ से जो तक़ाज़े को भेजे जाते हैं वही बक़ाया वसूल करके लाते भी हैं यह नहीं है कि तक़ाज़ा एक का काम हो और वसूल करना दूसरे का लिहाज़ा यहाँ के उ़र्फ़ का लिहाज़ करते हुए तक़ाज़ा करने वाला क़ब्ज़ा का इख़्तियार नहीं रखता। (बहर)

मसअ्ला.2:– ख़ुसूमत या तक़ाज़े के लिये जिसको वकील किया यह मुसालहत नहीं कर सकते कि उनका यह काम नहीं। तक़ाज़े के लिये जिसको क़ासिद बनाया है जिससे यह कहदिया कि फ़ुलाँ शख़्स को हमारा यह पैग़ाम पहुँचा देना वह क़ब्ज़ा कर सकता है उस मदयून पर दअ़वा नहीं कर सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– जिसको सुलह के लिये वकील बनाया है वह दअ़वा नहीं कर सकता और दैन पर क़ब्ज़ा के लिये जिसे वकील किया है वह दअ़वा कर सकता है। वकीले क़िसमा, वकीले शुफ़आ, हिबा में रुजूअ् का वकील। ऐब की वजह से रद का वकील (ख़रीदी हुई चीज़ को रद करने का वकील) उन सब को दअ़वा करने का हक़ हासिल है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– एक शख़्स के ज़िम्मे मेरा दैन है तुम उसपर क़ब्ज़ा करो और सब ही पर क़ब्ज़ा करना वकील ने तमाम दैन पर क़ब्ज़ा किया सिर्फ़ एक रुपया बाक़ी रहगया यह क़ब्ज़ा सहीह नहीं हुआ कि मुवक्किल की उसने मुख़ालफ़त की यानी अगर वह दैन जिसपर क़ब्ज़ा किया है हलाक होजाये तो मुवक्किल ज़िम्मेदार नहीं मुवक्किल उस मदयून से अपना पूरा दैन वसूल करेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– यह कहा कि मैंने अपने हर दैन के तक़ाज़ा का तुझे वकील किया या मेरे जितने हुक़ूक़ लोगों पर हैं उनके लिये वकील किया यह तौकील उन हुक़ुक़ के मुतअ़ल्लिक़ भी है जो उस

वक़्त मौजूद हैं और उनके मुतअल्लिक़ भी जो अब होंगे और अगर यह कहा है कि फुलाँ के जिम्मे जो मेरा दैन है उसके क़ब्ज़ा का वकील किया तो सिर्फ़ वही दैन मुराद है जो उस वक़्त है जो बाद में होंगे उनके मुतअल्लिक़ वकील नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– जो शख़्स क़ब्ज़े दैन (क़र्ज़ पर क़ब्ज़ा करने) का वकील है वह न तो हवाला क़बूल कर सकता है न मदयून को दैन हिबा करसकता है न दैन मुआफ़ कर सकता है न दैन को मुअख़्ख़र कर सकता है यानी मीआद नहीं मुक़र्रर कर सकता न दैन के मुक़ाबले में कोई शय रहन रख सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– एक शख़्स को वकील किया कि फुलाँ के ज़िम्मे मेरा दैन है उसे वसूल करके फुलाँ शख़्स को हिबा करदे यह जाइज़ है अगर मदयून यह कहता है मैंने दैन देदिया और मौहूब लहू भी तस्दीक़ करता है तो ठीक है और मौहूब लहू इन्कार करता है तो मदयून की तस्दीक़ नहीं की जायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– दैन वसूल करने का वकील आया उसने वसूल किया फिर दूसरा वकील आया कि यह भी दैन वसूल करने का वकील है यह चाहता है कि वकीले अव्वल ने जो कुछ वसूल किया है उसे मैं अपने क़ब्ज़े में रखूँ उसे इसका इख़्तियार नहीं हाँ अगर वकीले दोम को मुवक्किल ने यह इख़्तियारात दिये हैं कि जो कुछ मुवक्किल की चीज़ किसी के पास हो उसपर क़ब्ज़ा करे तो वकीले अव्वल से ले सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– मोहताल लहू (क़र्ज़ देने वाले) ने मुहील (अपने क़र्ज़ की अदायगी दूसरे के सिपुर्द करने वाला) को वकील करदिया कि मोहताल अलैह (क़र्ज़दार ने क़र्ज़ की अदायगी जिसके सिपुर्द की) से दैन वसूल करे यह तौकील सहीह नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– कफ़ील बिलमाल को वकील नहीं बनाया जासकता उसको वकील बनाना वैसा ही है जैसे ख़ुद मदयून को वकील किया जाये हाँ अगर मदयून को वकील किया कि तुम अपने से दैन मुआफ़ करदो यह तौकील सहीह है और मुआफ़ करने से पहले मुवक्किल ने मअ्ज़ूल कर दिया यह अज़्ल (माजूल करना) भी सहीह है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– ज़ैद के दो शख़्सों के ज़िम्मे हज़ार रुपये हैं और उन दोनों में से हर एक दूसरे का कफ़ील है ज़ैद ने अम्र को वकील किया कि उनमें से फुलाँ से दैन वसूल करे अम्र ने बजाये उसके दूसरे से वसूल किया यह उसका क़ब्ज़ा करना सहीह है। उसी तरह अगर एक शख़्स पर हज़ार रुपये दैन है और दूसरा उसका कफ़ील है दाइन ने वकील किया था मदयून से वसूल करने के लिये उसने कफ़ील से वसूल करलिया यह भी सहीह है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– दैन वसूल करने के लिये वकील किया था वकील ने मदयून से बजाये रुपया के सामान लिया उस चीज़ को मुवक्किल पसन्द नहीं करता है वकील यह सामान फेरदे और दैन का मुतालबा करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– मदयून ने दाइन को कोई चीज़ देदी कि उसे बेचकर उसमें से अपना हक़ लेलो उसने बैअ् की और समन पर क़ब्ज़ा करलिया फिर यह समन हलाक होगया तो मदयून का नुक़सान हुआ जब जक दाइन ने समन पर जदीद क़ब्ज़ा न किया हो और अगर मदयून ने चीज़ देते वक़्त यह कहा उसे अपने हक़ के बदले में बैअ् करलो तो समन पर क़ब्ज़ा होते ही दैन वसूल होगया अगर हलाक होगा दाइन का हलाक होगा। (ख़ानिया)

मसअ्ला.14:– एक शख़्स ने दूसरे से यह कहा कि फुलाँ का तुम्हारे ज़िम्मे दैन है उसने मुझे दैन लेने के लिये वकील किया उसकी तीन सूरतें हैं मदयून उनकी तस्दीक़ करता है या तकज़ीब करता है या सुकूत करता है अगर तस्दीक़ करता है दैन अदा करने पर मजबूर किया जायेगा फिर वापस लेने का उसको इख़्तियार नहीं बाक़ी दो सूरतों में मजबूर नहीं किया जायेगा मगर उसने देदिया तो वापस लेने का इख़्तियार नहीं फिर मुवक्किल आया उसने वकालत का इक़रार करलिया तो मुआमला ख़त्म है और अगर वकालत से इन्कार करता है और मदयून से दैन लेना चाहता है अगर मदयून ने दअ्वा किया तुमने फुलाँ को वकील किया था मैंने उसे देदिया और उसकी तौकील को गवाहों से साबित कर दिया या गवाह न होने की सूरत में दाइन पर हल्फ़ दिया गया उसने हल्फ़ से इन्कार करदिया मदयून बरी होगा

और अगर उसने हल्फ़ करलिया कि मैंने उसे वकील नहीं किया था तो मदयून से अपना दैन वसूल करेगा फिर उस वकील के पास अगर चीज़ मौजूद है तो मदयून उससे वसूल करे और हलाक करदी है तो तावान लेसकता है और अगर हलाक होगई हो और मदयून ने उसकी तस्दीक़ की थी तो कुछ नहीं लेसकता और तकज़ीब की थी या सुकूत किया था या तस्दीक़ की थी मगर ज़मान की शर्त करली थी तो जो कुछ दाइन को दिया है उस वकील से वापस ले। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– एक शख़्स ने कहा फुलाँ शख़्स की अमानत तुम्हारे पास है उसने मुझे वकील बिल'क़ब्ज़ किया है अमीन अगर्चे उसकी तस्दीक़ करता हो अमानत देने का हुक्म नहीं दिया जायेगा और अगर अमीन ने देदी तो अब वापस लेने का हक़ नहीं रखता और अगर अमीन से कोई यह कहता है कि मैंने अमानत वाली चीज़ ख़रीदली है उसको देने का हुक्म नहीं दिया जायेगा अगर्चे अमीन उसकी तस्दीक़ करता हो और अगर अमीन से यह कहता है कि जिसने अमानत रखी थी उसका इन्तिक़ाल होगया और यह चीज़ बतौर वसियत या विरासत मुझे मिली है अगर अमीन उसकी बात को सच मानता है हुक्म दिया जायेगा कि उसको देदे ब'शर्ते कि मय्यित पर दैन मुस्तग़रक़ न हो और अगर अमीन उसकी बात से मुन्किर है या कहता है मुझे नहीं मालूम तो उस सूरत में जब तक साबित न कर दे देने का हुक्म नहीं दिया जायेगा। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– दाइन ने मदयून से कहा तुम फुलाँ शख़्स को देदेना फिर दूसरे मौक़े पर कहा उसको मत देना मदयून ने कहा मैं तो उसे देचुका और वह शख़्स भी इक़रार करता है कि मुझे दिया है मदयून दैन से बरी होगया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.17:– दाइन ने मदयून के पास कहला भेजा कि मेरा रुपया भेजदो मदयून ने उसी के हाथ भेज दिया तो दाइन का होगया और अगर हलाक होगा दाइन का होगा और अगर दाइन ने यह मदयून से कहा कि फुलाँ के हाथ भेज देना या मेरे बेटे के हाथ या अपने बेटे के हाथ भेजदेना मदयून ने भेजदिया और ज़ाइअ् हुआ तो मदयून का ज़ाइअ् हुआ और अगर दाइन ने यह कहा था कि मेरे बेटे को देदेना वह मुझे लाके देदेगा यह तौकील है अगर ज़ाइअ् होगा दाइन का नुक़सान होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– मदयून ने किसी को अपना दैन अदा करने का वकील किया उसने अदा करदिया तो जो कुछ दिया है मदयून से लेगा और अगर यह कहा है कि मेरी ज़कात अदा करदेना मेरी क़सम के कफ़्फ़ारा में खाना खिला देना और उसने करदिया तो कुछ नहीं ले सकता हाँ अगर उसने यह भी कहा था कि मैं ज़ामिन हूँ तो वसूल कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.19:– यह कहा कि फुलाँ को उतने रुपये अदा कर देना यह नहीं कहा कि मेरी तरफ़ से न यह कि मैं ज़ामिन हूँ न यह कि वह मेरे ज़िम्मे होंगे उसने देदिये अगर यह उसका शरीक या ख़लीत या उसकी एयाल में है या उसपर उसे एअ्तिमाद है तो रुजूअ् करेगा वरना नहीं। ख़लीत के मअ्ना यह हैं कि दोनों में लेन देन है या आपस में दोनों के यह तै है कि अगर एक का दूसरे के पास क़ासिद या वकील आयेगा तो उसके हाथ बैअ् करेगा उसे क़र्ज़ देदेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.20:– एक ही शख़्स दाइन व मदयून दोनों का वकील हो कि एक की तरफ़ से ख़ुद अदा करे और दूसरे की तरफ़ से ख़ुद ही वसूल करे यह नहीं हो सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.21:– मदयून ने एक शख़्स को रुपये दिये कि मेरे ज़िम्मे फुलाँ के इतने रुपये बाक़ी हैं यह दे देना और रसीद लिखवालेना रुपये उसने देदिये मगर रसीद नहीं लिखवाई उसपर ज़मान नहीं यानी अगर दाइन इन्कार करे तो तावान लाज़िम न होगा और अगर मदयून ने यह कहा था कि जब तक रसीद न लेलेना देना मत और उसने बिग़ैर रसीद लिये देदिये तो ज़ामिन है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.22:– जिस को दैन अदा करने को कहा है उसने उससे बेहतर अदा किया जो कहा थ तो वैसा रुजूअ् करेगा जैसा अदा करने को कहा था और उससे ख़राब अदा किया तो जैसा दिया है वैसा ही लेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.23:– एक शख़्स को अपने हुक़ूक़ वसूल करने और मुक़द्दमात की पैरवी करने के लिये वकील किया है और यह कहदिया है कि मुवक्किल पर (यानी मुझपर) जो दअ्वा हो उसमें तौकील नहीं यह सूरत तौकील की जाइज़ है नतीजा यह हुआ कि वकील ने एक शख़्स पर माल का दअ्वा

किया और गवाहों से साबित करदिया मुद्दआ अलैह अपने ऊपर से उसको रफ़अ् करना चाहता है मस्लन कहता है मैंने अदा करदिया है या दाइन ने मुआफ़ करदिया है यह जवाबदेही वकील के मुक़ाबिल में मस्मूअ् नहीं कि वह उस बात में वकील ही नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.24:– वकील बिल ख़ुसूमत (मुक़द्दमे की पैरवी का वकील) को इख़्तियार है कि ख़सम (मद्दे मक़ाबिल) के हक़ से इन्कार करदे या उसके हक़ का इक़रार करले मगर क़ाज़ी के पास इक़रार कर सकता है ग़ैर क़ाज़ी के पास नहीं यानी मज्लिसे क़ज़ा के एलावा दूसरी जगह उसने इक़रार किया उसको अगर क़ाज़ी के पास ख़सम ने गवाहों से साबित किया तो वकील का इक़रार नहीं क़रार पायेगा यह अलबत्ता होगा कि गवाहों से ग़ैर मज्लिसे क़ज़ा में इक़रार साबित होने पर यह वकील ही वकालत से मअ्ज़ूल होजायेगा और उसको माल नहीं दिया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.25:– वकील बिल ख़ुसूमा इक़रार उस वक़्त कर सकता है जब उसकी तौकील मुतलक़ हो इक़रार की मुवक्किल ने मुमानअत न की हो और अगर मुवक्किल ने उसको ग़ैर जाइज़ुलइक़रार क़रार दिया है तो वकील है मगर इक़रार नहीं कर सकता अगर क़ाज़ी के पास यह इक़रार करेगा इक़रार सहीह नहीं होगा और वकालत से ख़ारिज होजायेगा और अगर वकील किया है मगर इन्कार की इजाज़त नहीं दी है तो इन्कार नहीं कर सकता। (आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.26:– तौकील बिल इक़रार सहीह है उसका यह मतलब नहीं कि इक़रार का वकील है या यह कि कचहरी में जाते ही इक़रार करले बल्कि उसका मतलब यह है कि वकील से कहदिया है कि अव्वलन तुम झगड़ा करना जो कुछ फ़रीक़ कहे उससे इन्कार करना मगर जब देखना कि काम नहीं चलता और इनकार में मेरी बदनामी होती है तो इक़रार करलेना उस वकील का इक़रार सहीह है वह मुवक्किल पर इक़रार है। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.27:– जो शख़्स दाइन का वकील है मदयून ने भी उसी को क़ब्ज़े का वकील करदिया यह तौकील दुरुस्त नहीं मस्लन वह मदयून के पास अगर मुतालबा करता है मदयून ने उसे कोई चीज़ देदी कि उसे बेचकर समन से दैन अदा करना अगर फ़र्ज़ करो उसने बेची मगर समन हलाक हो गया तो मदयून का हलाक हुआ। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.28:– कफ़ील बिन्नफ़्स (शख़्सी ज़मानत) क़ब्ज़े दैन का वकील (क़र्ज़ पर क़ब्ज़ा करने का वकील) हो सकता है यूहीं क़ासिद और वकील बिन्निकाह उन को वकील बिल क़ब्ज़ किया जा सकता है वकील बिन्निकाह महर का ज़ामिन हो सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.29:– दैन क़ब्ज़ा करने का वकील था उसने किफ़ालत करली यह सहीह है मगर वकालत बातिल होगई। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.30:– वकीले बैअ् (किसी चीज़ के बेचने के वकील ने) ने मुश्तरी की तरफ़ से बाइअ् के लिये समन की ज़मानत करली यह जाइज़ नहीं फिर अगर उस ज़मानते बातिला की बिना पर वकील ने बाइअ् को समन अपने पास से देदिया तो बाइअ् से वापस ले सकता है और अगर अदा किया मगर ज़मानत की वजह से नहीं तो वापस नहीं ले सकता कि मुतबर्रेअ् (एहसान करने वाला) है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.31:– वकील बिलक़ब्ज़ ने माल तलब किया मदयून ने जवाब में यह कहा कि मुवक्किल को देचुका हूँ या उसने मुआफ़ करदिया है या तुम्हारे मुवक्किल ने ख़ुद मेरी मिल्क का इक़रार किया है उसका हासिल यह हुआ कि उसने मिल्के मुवक्किल का इक़रार करलिया और उसकी वकालत को भी तस्लीम किया मगर एक उज़्र ऐसा पेश करता है जिससे मुतालबा साक़ित होजाये और उसपर गवाह पेश नहीं किये अब दूसरी सूरत मुन्किर पर हल्फ़ की है मगर हल्फ़ अगर होगा तो मुवक्किल पर न कि वकील पर लिहाज़ा उस सूरत में उस शख़्स को माल देना होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.32:– मुश्तरी ने ऐब की वजह से मबीअ् को वापस करने के लिये किसी को वकील किया वकील जब बाइअ् के पास जाता है बाइअ् यह कहता है कि मुश्तरी उस ऐब पर राज़ी होगया था लिहाज़ा वापसी नहीं होसकती इस सूरत में जब तक मुश्तरी हल्फ़ न उठाये बाइअ् पर रद नहीं कर सकता और अगर वकील ने बाइअ् पर रद करदी फिर मुवक्किल आया उसने बाइअ् की तस्दीक़ की तो चीज़ उसी की होगी बाइअ् की न होगी। (बहर)

मसअ्ला.33:– ज़ैद ने अम्र को दस रुपये दिये कि यह मेरे बाल बच्चों पर ख़र्च करना अम्र ने दस रुपये अपने पास के ख़र्च किये वह रुपये जो दिये गये थे रख लिये तो यह दस उन दस के बदले में होगये उसी तरह अगर दैन अदा करने के लिये रुपये दिये थे या सदक़ा करने के लिये दिये थे उस ने यह रुपये रख लिये और अपने पास से दैन अदा करदिया या सदक़ा करदिया तो उन सूरतों में भी अदला बदला होगया। जो रुपये ज़ैद ने दिये हैं उनके रहते हुए यह हुक्म है और अगर अम्र ने ज़ैद के रुपये ख़र्च कर डाले उसके बाद बाल बच्चों के लिये चीज़ें ख़रीदीं वह सब अम्र की मिल्क हैं और बच्चों पर ख़र्च करना तबर्रोअ् (भलाई) है और ज़ैद के रुपये जो ख़र्च किये हैं उनका तावान देना होगा और यह भी ज़रूर है कि ख़र्च के लिये अम्र जो चीज़ें ख़रीद लाया उन की बैअ् को ज़ैद के रुपये की तरफ़ निस्बत करे या अक़्द को मुतलक़ रखे और अगर अम्र ने अक़्द को अपने रुपये की तरफ़ निस्बत किया तो यह चीज़ें अम्र की होंगी और ज़ैद के बाल बच्चों पर ख़र्च करने में मुतबर्रेअ् होगा और ज़ैद के रुपये उसके ज़िम्मे बाक़ी रहेंगे यही हुक्म दैन अदा करने और सदक़ा करने का है। (बहररुर्राइक़)

मसअ्ला.34:– ज़ैद ने अम्र से कहा फुलाँ शख़्स पर मेरे इतने रुपये बाक़ी हैं उनको वसूल करके ख़ैरात करो अम्र ने अपने पास से यह नियत करते हुए ख़र्च कर दिये कि जब मदयून से वसूल होंगे तो उन्हें रख लूँगा यह जाइज़ है यानी अम्र पर तावान नहीं और अगर ज़ैद ने रुपये देदिये थे उसने वह रुपये रख लिये और अपने पास के ख़ैरात कर दिये तो तावान नहीं। (बहर)

मसअ्ला.35:– वसी या बाप ने बच्चा पर अपना माल ख़र्च किया क्योंकि उसका माल अभी आया नहीं है तो उसका मुआवज़ा नहीं मिलेगा हाँ अगर उसने उसपर गवाह बना लिये हैं कि यह क़र्ज़ देता हूँ या मैं ख़र्च करता हूँ उसका मुआवज़ा लूँगा तो बदला ले सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

वकील बिक़ब्ज़िल ऐन

मसअ्ला.36:– जो शख़्स क़ब्ज़े ऐन (शय मुअ़य्यन) का वकील हो वह वकील बिल ख़ुसूमा नहीं है मसलन किसी ने यह कहदिया कि मेरी फुलाँ चीज़ फुलाँ शख़्स से वसूल करो जिसके हाथ में चीज़ है उसने कहा कि मुवक्किल ने यह चीज़ मेरे हाथ बैअ् की है और उसको गवाहों से साबित कर दिया मुआमला मुलतवी होजायेगा जब मुवक्किल आजायेगा उसकी मौजूदगी में बैअ् के गवाह फिर पेश किये जायेंग। इसी तरह एक शख़्स ने किसी को भेजा कि मेरी ज़ौजा को रुख़सत कर लाओ औरत ने कहा शौहर ने मुझे तलाक़ देदी है और गवाहों से तलाक़ साबित करदी उसका असर सिर्फ़ इतना होगा कि रुख़सत को मुलतवी कर दिया जायेगा तलाक़ का हुक्म नहीं दिया जायेगा जब शौहर आयेगा उसकी मौजूदगी में औरत को तलाक़ के गवाह फिर पेश करने हों। (आलमगीरी हिदाया)

मसअ्ला.37:– एक शख़्स क़ब्ज़े ऐन का वकील था उसके क़ब्ज़े से पहले किसी ने वह चीज़ हलाक करदी यह उसपर तावान का दअ्वा नहीं कर सकता और क़ब्ज़े के बाद हलाक की है तो दअ्वा कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.38:– किसी से कहा मेरी बकरी फुलाँ के यहाँ है उसपर क़ब्ज़ा करो उस कहने के बाद बकरी के बच्चा पैदा हुआ तो वकील बकरी और बच्चा दोनों पर क़ब्ज़ा करेगा और अगर वकील करने से पहले बच्चा पैदा हो चुका है तो बच्चा पर क़ब्ज़ा नहीं कर सकता। बाग़ के फल का वही हुक्म है जो बच्चे का है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.39:– वकील किया है कि मेरी अमानत फुलाँ के पास है उसपर क़ब्ज़ा करो और वकील के क़ब्ज़ा से पहले खुद मुवक्किल ने क़ब्ज़ा करलिया और फिर दोबारा उस को अमानत रख दिया अब वकील न रहा यानी क़ब्ज़ा नहीं कर सकता मुवक्किल के क़ब्ज़ा करने का चाहे उसको इल्म हो या न हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.40:– मालिक ने हुक्म दिया था कि फुलाँ के पास मेरी अमानत है उसपर आज क़ब्ज़ा करो तो उसी दिन क़ब्ज़ा करना ज़रूरी नहीं दूसरे दिन भी क़ब्ज़ा कर सकता है और अगर कहा था कि कल कब्ज़ा करना तो आज नहीं क़ब्ज़ा कर सकता और अगर कहा था कि फुलाँ की मौजूदगी में क़ब्ज़ा करना तो बिग़ैर उसकी मौजूगदी के क़ब्ज़ा कर सकता है यूँहीं अगर कहा था कि गवाहों

के सामने क़ब्ज़ा करना तो बिग़ैर गवाहों के क़ब्ज़ा कर सकता है और अगर बिग़ैर फ़ुलों की मौजूदगी के क़ब्ज़ा न करना तो ग़ीबत में क़ब्ज़ा नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.41:– एक शख़्स ने घोड़ा आरियत लिया और किसी को भेजा कि उसे लाओ यह उसपर सवार होकर लेगया अगर घोड़ा ऐसा है कि बिग़ैर सवार हुए क़ाबू में आ सकता है तो यह ज़ामिन है और क़ाबू में नहीं आ सकता है तो ज़ामिन नहीं। (आलमगीरी)

वकील को मअ्ज़ूल करने का बयान

मसअ्ला.1:– वकालत उक़ूदे लाज़िमा में से नहीं यानी न मुवक्किल पर उसकी पाबन्दी लाज़िम है न वकील पर जिस तरह मुवक्किल जब चाहे वकील को बर तरफ़ कर सकता है वकील भी जब चाहे दस्त'बर्दार हो सकता है उसी वजह से उसमें ख़्यारे शर्त नहीं होता कि जब यह ख़ुद ही लाज़िम नहीं तो शर्त लगाने से क्या फ़ायदा। (बहर)

मसअ्ला.2:– वकालत का बिलक़स्द हुक्म नहीं होसकता यानी जब तक उसके साथ दूसरी चीज़ शामिल न हो महज़ वकालत का क़ाज़ी हुक्म नहीं देगा मस्लन यह कि ज़ैद अम्र का वकील है अगर मदयून पर वकील ने दअ्वा किया और वह उसकी वकालत से इन्कार करता है तो अब यह बेशक उस क़ाबिल है कि उसके मुतअ़ल्लिक़ क़ाज़ी अपना फ़ैसला सादिर करे। (बहर)

मसअ्ला.3:– मुवक्किल वकील को मअ्ज़ूल करे या वकील ख़ुद अपने को मअ्ज़ूल करे बहर हाल दूसरे को उसका इल्म होजाना ज़रूर है जब तक इल्म न होगा मअ्ज़ूल न होगा अगर्चे वह निकाह या तलाक़ का वकील हो जिसमें वकील को मअ्ज़ूली की वजह से कोई ज़रर भी नहीं पहुँचता अज़्ल (मअ्ज़ूल करने) की कई सूरतें हैं वकील के सामने मुवक्किल ने कहदिया ~~कि मैंने~~ तुमको मअ्ज़ूल करदिया या लिखकर देदिया या वकील के यहाँ किसी से कहला भेजा जिसको भेजा वह आदिल हो या ग़ैर आदिल आज़ाद हो या ग़ुलाम, बालिग़ हो या ना'बालिग़, मर्द हो या औरत बशर्ते कि वह जाकर यह कहे कि मुवक्किल ने मुझे भेजा है कि मैं तुमको यह ख़बर पहुँचादूँ कि उसने तुम्हें मअ्ज़ूल करदिया। और अगर उसने ख़ुद किसी को नहीं भेजा है बल्कि बतौर ख़ुद किसी ने यह ख़बर पहुँचाई तो उसके लिए ज़रूर है कि वह ख़बर लेजाने वाला आदिल हो या दो शख़्स हों। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.4:– अगर वकालत के साथ हक़्क़े ग़ैर मुतअ़ल्लिक़ होजाये तो मुवक्किल वकील को मअ्ज़ूल नहीं कर सकता मस्लन वकील बिल ख़ुसूमा (मुक़द्दमे की पैरवी का वकील) जिसको ख़स्म के तलब करने पर वकील बनाया गया उसको मुवक्किल मअ्ज़ूल नहीं कर सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– तलाक़ व ऐताक़ का वकील, मुवक्किल का माल बैअ् करने का वकील, किसी ग़ैर मुअय्यन चीज़(आम चीज़)के ख़रीदने का वकील यह सब अपने को बिग़ैर इल्मे मुवक्किल मअ्ज़ूल कर सकते हैं यानी अपने को ख़ुद मअ्ज़ूल करने के बाद यह सब काम किये तो नाफ़िज़ नहीं होंगे(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– क़ब्ज़े दैन के लिये वकील किया था मदयून की अदमे मौजूदगी में उसे मअ्ज़ूल कर सकता है अगर मदयून की मौजूदगी में वकील किया है तो अदमे मौजूदगी में मअ्ज़ूल नहीं कर सकता मगर जबकि मदयून को उसकी मअ्ज़ूली का इल्म होजाये यानी मदयून को उसकी मअ्ज़ूली का इल्म नहीं था और दैन उसको देदिया बरिउज़्ज़िम्मा होगया दाइन (क़र्ज़ देने वाला) उससे मुतालबा नहीं कर सकता और मदयून को मालूम था और देदिया तो बरिउज़्ज़िम्मा नहीं है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– एक शख़्स को राहिन (अपनी चीज़ गिरवी रखने वाला) ने वकील किया था कि शय मरहून (गिरवी रखी हुई चीज़) को बैअ् करके दैन अदा करदे उसने अपने को मुरतहिन (अपने पास चीज़ गिरवी रखने वाला) की मौजूदगी में मअ्ज़ूल करदिया और मुरतहिन उसपर राज़ी भी होगया तो मअ्ज़ूल होगया वरना नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– वकालत क़बूल करने के बाद वकील का यह कहना मैंने वकालत को लग़्व करदिया मैं वकालत से बरी हूँ उन अल्फ़ाज़ से मअ्ज़ूल नहीं होगा अगर्चे यह अल्फ़ाज़ मुवक्किल के सामने कहे यूँहीं मुवक्किल का तौकील से इन्कार करदेना भी अज़्ल नहीं है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– वकील ने वकालत रद करदी रद होगई मगर उसके लिये मुवक्किल को मालूम होना शर्त है मस्लन मुवक्किल ने वकील किया जिसकी ख़बर वकील को पहुँची वकील ने रद करदी

कहदिया मुझे मन्जूर नहीं मगर उसका इल्म मुवक्किल को नहीं हुआ फिर उसने वकालत क़बूल करली वकील होगया। वकील ने वकालत कबूल करली उसके बाद मुवक्किल ने कहा वकालत रद करदो उसने कहा मैंने रद करदी रद होगई। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– तौकील को शर्त पर मुअ़ल्लक़ कर सकते हैं मस्लन यह काम करो तो तुम मेरे वकील हो मगर उसके अ़ज़्ल को शर्त पर मुअ़ल्लक़ नहीं कर सकते। तौकील को शर्त पर मुअ़ल्लक़ किया था और शर्त पाई जाने से पहले वकील को मअ़ज़ूल करना चाहता है कर सकता है। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.11:– वकील को मअ़ज़ूल करने का यह मतलब है कि जिस काम के लिये उसको वकील किया है वह अब तक न हुआ हो और काम पूरा होगया तो मअ़ज़ूल करने की क्या ज़रूरत खुद ही मअ़ज़ूल होगया वह काम ही बाक़ी न रहा जिसमें वकील था मस्लन दैन वसूल करने के लिये वकील था दैन वसूल करलिया, औरत से निकाह़ करने के लिये वकील था और निकाह़ होगया।(बहर)

मसअ्ला.12:– दोनों में से कोई मरगया या उसको जुनूने मुत़बक़ होगया वकालत बात़िल होगई जुनूने मुत़बक़ यह है कि मुसलसल एक माह तक रहे यूँहीं मुर्तद होकर दारुल ह़रब को चले जाने से भी वकालत बात़िल होजाती है जब कि क़ाज़ी ने उसके दारुल'ह़रब चले जाने का एअ़्लान करदिया हो फिर अगर मजनून ठीक होजाये या मुर्तद मुसलमान होकर'दारुल ह़रब से वापस आजाये तो वकालत वापस नहीं होगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.13:– राहिन ने किसी को मरहून शय की बैअ़् का वकील किया था या खुद मुरतहिन को वकील किया था कि दैन की मीआद पूरी होने पर चीज़ को बेचदेना और राहिन मरगया उसके मरने से वकालत बात़िल नहीं होगी यही हुक्म उसके मजनून होने या मआ़ज़ल्लाह मुर्तद होजाने का है।

मसअ्ला.14:– अम्रबिलयद का वकील यानी उसके हाथ में मुआ़मला देदिया गया है और बैअ़् बिल'वफ़ा का वकील यानी मदयून ने दाइन को अपनी कोई चीज़ देदी है कि उसको बेचकर अपना ह़क़ वसूल करलो उन दोनों सूरतों में भी मुविक्कल के मरने से वकालत बात़िल नहीं होगी।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.15:– दो शख़्सों में शिरकत थी शरीकैन ने वकील किया था फिर उनमें जुदाई व तफ़रीक़ होगई यानी शिरकत तोड़दी वकालत बात़िल होगई उस सूरत में वकील को मालूम होने की भी ज़रूरत नहीं कि यह अ़ज़्ल हुक्मी है अ़ज़्ल हुक्मी में मालूम होना शर्त नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– मुवक्किल मुकातब था वह बदले किताबत से आ़जिज़ होगया या मुवक्किल गुलाम माज़ून था उसके मौला ने महजूर करदिया यानी उसके तसर्रुफ़ात रोकदिये उन दोनों सूरतों में भी उनका वकील मअ़ज़ूल होजाता है और यह भी अ़ज़्ल हुक्मी है इल्म की शर्त नहीं मगर यह उसी वकील की मअ़ज़ूली है जो खुसूमत(मुक़द्मा)या उ़कूद का वकील हो और अगर वह इसलिये वकील था कि दैन अदा करे या दैन वसूल करे या वदीअ़त पर क़ब्ज़ा करे वह मअ़ज़ूल नहीं होगा(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– जिस काम के लिये वकील किया था मुवक्किल ने उसे खुद ही करडाला वकील मअ़ज़ूल होगया कि अब वह काम करना ही नहीं है। उससे मुराद वह तसर्रुफ़ है कि मुवक्किल के साथ वकील तसर्रुफ़ न कर सकता हो मस्लन गुलाम का आज़ाद करने या मुकातब करने का वकील था मौला ने खुद ही आज़ाद कर दिया या मुकातब करदिया किसी औ़रत से निकाह़ का वकील किया था उसने खुद ही निकाह़ करलिया या किसी चीज़ के ख़रीदने का वकील किया था उसने खुद ख़रीदली या ज़ौजा को त़लाक़ देने का वकील किया था मुवक्किल ने खुद ही तीन त़लाक़ें देदीं या एक ही त़लाक़ दी और इद्दत पूरी होगई या खुलअ़् का वकील था उसने खुद [illegible] करलिया और अगर वकील भी तसर्रुफ़ कर सकता है आजिज़ नहीं है तो वकालत बाति[illegible] नहीं होगी मस्लन त़लाक़ का वकील था मुवक्किल ने अभी एक ही त़लाक़ दी है और इद्दत बाक़ी है वकील भी त़लाक़ देसकता है या त़लाक़ का वकील था शौहर ने खुलअ़् किया इद्दत के दरम्यान वकील त़लाक़ देसकता है। बैअ़् का वकील था और मुवक्किल ने खुद बैअ़् करदी मगर वह चीज़ मुवक्किल पर वापस हुई उस त़रीके पर जो फ़स्ख़ है तो वकील अपनी वकालत पर बाक़ी है उस चीज़ को बैअ़् करने का इख़्तियार रखता है और अगर ऐसे तौर पर चीज़ वापस हुई जो फ़स्ख़ नहीं है तो वकील को इख़्तियार न रहा। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.18:– हिबा करने का वकील किया था और मुवक्किल ने खुद हिबा करदिया उसके बाद अपना हिबा वापस लेलिया वकील को हिबा करने का इख़्तियार नहीं है। बैअ् के लिये वकील किया था और मुवक्किल ने उस चीज़ को रहन रखदिया या उजरत पर देदिया वकील अपनी वकालत पर बाक़ी है। (बहर)

मसअ्ला.19:– मकान किराये पर देने के लिये वकील किया था और मुवक्किल ने खुद किराये पर देदिया फिर इजारा फ़स्ख़ होगया वकील की वकालत लौट आई। (बहर)

मसअ्ला.20:– मकान बैअ् करने के लिये वकील किया था और उसमें जदीद तअ्मीर की वकालत जाती रही यूँहीं ज़मीन बैअ् करने के लिये वकील किया था और उसमें पेड़ लगादिये। और अगर मुवक्किल ने उसमें ज़राअ्त की खेत को बोदिया तो वकील ज़मीन को बेच सकता है। (बहर)

मसअ्ला.21:– सत्तू ख़रीदने को कहा उसमें घी मल दिया गया या तिल ख़रीदने को कहा था पेलकर तेल निकाल लिया गया वकालत बातिल होगई और अगर उनकी मबीअ् का वकील था तो वकालत बाक़ी है। (बहरुर्राइकक)

मसअ्ला.22:– एक चीज़ की बैअ् का वकील किया था उसको खुद मुवक्किल ने बेचडाला उसकी इत्तिलाअ् वकील को नहीं हुई उसने भी एक शख़्स के हाथ बैअ् करदी और मुश्तरी से समन भी वसूल करलिया मगर उसके पास से ज़ाइअ् होगया और मबीअ् अभी मुश्तरी को दी नहीं थी कि हलाक होगई मुश्तरी वकील से समन वापस लेगा और वकील मुवक्किल से। (बहरुर्राइक)

मसअ्ला.23:– दैन वसूल करने के लिये वकील किया और यह भी कह दिया कि तुम जिसको चाहो वकील करदो वकील ने किसी को वकील किया वकीले अव्वल चाहे तो उसे माज़ूल भी करसकता है और अगर मुवक्किल ने यह कहा था कि फुलाँ को वकील करलो और वकील ने उस को वकील मुक़र्रर किया अब उस को मअ्ज़ूल नहीं कर सकता और अगर मुवक्किल ने यह कहा था कि फुलाँ को तुम चाहो तो वकील करलो अब उसे मअ्ज़ूल भी कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.24:– मदयून से कह दिया जो शख़्स तुम्हारे पास फुलाँ निशानी के साथ आये तुम उसको देदेना या जो शख़्स तुम्हारी उंगली पकड़ले या जो शख़्स तुमसे यह बात कहदे उसको दैन अदा करदेना उन सब सूरतों में तौकील सहीह नहीं कि मजहूल को वकील बनाना है अगर मदयून ने उसे देदिया बरिउज़्ज़िम्मा नहीं हुआ। (दुर्रेमुख़्तार)

وَاللّٰهُ سُبْحَانَہ و تعالی اعلم و علمہ جل مجدہ اتم و احکم

हिन्दी अनुवाद

मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नियर दो मीनार मस्जिद, एजाज़नगर, पुराना शहर, बरेली यू0पी0

मो0:–09219132423

बहारे शरीअत

11 से 20

मुसन्निफ

सदरुश्शरीआ मौलाना अमजद अली आज़मी रज़वी अलैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा

मौलाना मुहम्मद अमीनुल कादरी बरेलवी

नाशिर

कादरी दारुल इशाअत
[illegible] मीनार मस्जिद
[illegible] नगर, पुराना शहर बरेली

बहारे शरीअ़त

तेरहवा हि़स्सा

मुसन्निफ़
सदरूश्शरीआ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा
मौलाना मुह़म्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर
कादरी दारूल इशाअ़त
मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली–53
Mob:–9219132423

नाम किताब — बहारे शरीअत (तेरहवाँ हिस्सा)
मुसन्निफ — सदरुश्शरीअ मौलाना अमजद अली आज़मी रज़वी अलैहिर्रहमह
हिन्दी तर्जमा — **मौलाना मुहम्मद अमीनुल कादरी बरेलवी**
कम्प्यूटर कम्पोज़िंग — रज़वी कम्पयूटर सेण्टर, निकट दो मीनार मस्जिद एजाज़नगर बरेली
कीमत जिल्द दोम — 750/ मुकम्मल 1500/
तादाद — 1000
इशाअत — 2010 ई.

मिलने के पते :

1. न्यू सिल्वर बुक एजेन्सी मोहम्मद अली रोड़ मुम्बई
2. नाज़ बुक डिपो ,मोहम्मद अली रोड़ मुम्बई
3. कलीम बुक डिपो, तीन दरवाज़ा, अहमदाबाद गुजरात
4. चिश्तिया बुक डिपो दरगाह शरीफ़ अजमेर।
5. मकतबा रहमानिया रज़विया दरगाह आला हज़रत बरेली शरीफ6.
6. क़ादरी दारुल इशाअत, 523 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली। 9312106346

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم
نَحۡمَدُہٗ وَ نُصَلِّی عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡم

दावा का बयान

हदीस (1) सही मुस्लिम में हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम इरशाद फ़रमाते हैं कि "अगर लोगों को महज़ दावे की वजह से दे दिया जाया करे तो कितने लोग ख़ून और माल का दावा कर डालेंगे व लेकिन मुद्दआ अलैहि (जिस पर दावा किया गया) पर हल्फ़ (क़सम) है" और बैहक़ी की रिवायत में यह है "व लेकिन मुद्दई (दावा करने वाला) के ज़िम्मे बय्यिना (गवाह) हैं और मुन्किर पर क़सम"। (सहीह मुस्लिम स.941)

हदीस (2) इमाम अहमद व बैहक़ी अबूज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम इरशाद फ़रमाते हैं "जो शख़्स उस चीज़ का दावा करे जो उसकी न हो वो हम में से नहीं"। और वह ज़हन्नुम को अपना ठिकाना बनाये। (मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल जि.8, स.104)।

हदीस (3) तिबरानी वासिला रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम "बहुत बड़ा कबीरा गुनाह यह है कि मर्द अपनी औलाद से इन्कार करदे" (अलमोज्जमुल कबीर)

हदीस (4) इमाम अहमद व तिबरानी इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम "जो अपनी औलाद से इन्कार करे कि उसे दुनिया में रूस्वा करे क़ियामत के दिन अला रुऊसिल अशहाद (अलल एलान, मख़्लूक़ के सामने) उसको अल्लाह तआला रुस्वा करेगा यह उसका बदला है"। (मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल जि.2, स.255)

हदीस (5) अब्दुल रज़्ज़ाक़ अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ की मेरी औरत के स्याह बच्चा पैदा हुआ है। (यह शख़्स इशारतन बच्चे से इन्कार करना चाहता है) हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया "तेरे यहाँ ऊँट हैं" अर्ज़ की हाँ "उनके रंग क्या–क्या हैं?" अर्ज़ की सब सुर्ख़ हैं "उसमें कोई भूरे रंग का है" अर्ज़ की चन्द ऊँट भूरे भी हैं फ़रमाया "सुर्ख़ ऊँटों में भूरे कहाँ से पैदा होगये" अर्ज़ की मुझे मालूम नहीं, शायद रग ने खींच लिया हो यानि उनकी ऊपर की पुश्त में कोई भूरा होगा। उसका यह असर होगा फ़रमाया कि "तेरे बेटे को भी शायद रग ने खींच लिया होगा यानी तेरे बाप, दादा में कोई स्याह हो उसका यह असर हो" उस शख़्स को नसब से इन्कार की इजाज़त नहीं दी।

मसाइल फ़िक़्हिय्या :– दावा उस क़ौल को कहते हैं जो क़ाज़ी के सामने इस लिये पेश किया गया जिससे मक़सूद दूसरे शख़्स से हक़ तलब करना है।

मसअ्ला.1:– दावा में सबसे ज्यादा अहम जो चीज़ है वह मुद्दई व मुद्दा'अलैहि का तअय्युन है इसमें ग़लती करना फ़ैसले की ग़लती का सबब होता है। आम लोग तो उसको मुद्दई जानते हैं जो पहले क़ाज़ी के पास जाकर दावा करता है और उसके मुक़ाबिल को मुद्दआ'अलैहि मगर यह सतही व ज़ाहिरी बात है। बहुत मरतबा यह होता है कि जो सूरतन मुद्दई है वह मुद्दआ'अलैह है और जो मुद्दआ'अलैह है वह मुद्दई, फ़ुक़हा ने इसकी तारीफ़ में बहुत कुछ कलाम ज़िक्र किये हैं। इसकी एक तारीफ़ यह है कि मुद्दई वह है कि अगर वह अपने दावा को तर्क करदे तो उसे मजबूर न किया जाये मुद्दआ'अलैह वह हैं जो मजबूर किया जाता है। मसलन एक शख़्स के दूसरे पर हज़ार रूपये हैं अगर वह दाइन (क़र्ज़ देने वाला) मुतालबा न करे तो क़ाज़ी कभी उसको दावा करने पर मजबूर नहीं कर सकता अगरचे क़ाज़ी को मालूम हो और मदयून (क़र्ज़मन्द, मक़रूज़) उसके दावे के बाद मजबूर है। उसको ला मुहाला (लाज़िमी) जवाब देना ही पड़ेगा ज़ाहिर में मुद्दई और हक़ीक़त में मुद्दआ अलैह की एक मिसाल यह है कि एक शख़्स ने दावा किया कि फ़ुलाँ के पास मेरी अमानत है दिलादी जाये। अमीन (जिस के पास अमानत हो) यह कहता है कि मैंने अमानत वापस करदी उसका

ज़ाहिर मतलब यह हुआ कि उसकी अमानत मुझको तस्लीम है मगर मैं दे चुका, यह अमीन का एक दावा है मगर हक़ीक़त में अमीन ज़िमान से मुन्किर है क्योंकि अमीन जब अमानत से इन्कार करे तो अमीन नहीं रहता बल्कि उसपर ज़िमान वाजिब होजाता है लिहाज़ा पहले शख़्स के दावा का हासिल मतलब तलबे ज़िमान (तावान तलब करना) है और उसके जवाब का मा'हसल वूजूबे ज़िमान से इन्कार है। अब इस सूरत में हल्फ़ (क़सम) अमीन के ज़िम्मा होगा और हल्फ़ से कह देगा तो बात उसकी मोतबर होगी। (हिदाया जि.2,स.154)

मसअ्ला.2:– मुद्दई अगर असील है यानी खुद अपने हक़ का दावा करता है तो उसको दावे में यह ज़ाहिर करना होगा कि फुलाँ के ज़िम्मे मेरा यह हक़ है और अगर असील नहीं है बल्कि दूसरे शख़्स का क़ायम मक़ाम है मस्लन वकील या वसी है तो यह बताना होगा कि फुलाँ शख़्स जिसका मैं क़ायम मक़ाम हूँ उसका फुलाँ के ज़िम्मे यह हक़ है। (दुर्रेमुख़्तार जि.8 स.329)

मसअ्ला.3:– दावा वही कर सकता है जो आक़िल तमीज़दार हो। मजनून या इतना छोटा बच्चा न हो जिसको कुछ तमीज़ नहीं है दावा नहीं कर सकता। ना'बालिग़ समझदार दावा कर सकता है। ब'शर्ते के वह जानिबे वली से माज़ून हो। (दुर्रेमुख़्तार जि.8 स.329)

मसअ्ला.4:– दावा में मुद्दई को जज़्म व यक़ीन के साथ बयान देना होगा अगर यह कहेगा कि मुझे ऐसा शुब्ह होता है या मेरा गुमान यह है तो दावा क़ाबिले समाअ़त (सुनने के क़ाबिल) न होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

दावे के सहीह होने के शराइत़

मसअ्ला.5:– दावा की सेहत (सहीह होने) के शराइत़ यह हैं। (1) **जिस** चीज़ का दावा करे वह मा'लूम हो। मजहूल शै (नामा'लूम चीज़) का दावा मस्लन फुलाँ के ज़िम्मे मेरा कुछ हक़ है क़ाबिले समाअ़त नहीं।

(2)दावा सुबूत का एहतिमाल रखता हो लिहाज़ा ऐसा दावा जिसका वुजूद मुहाल (जिस का पाया जाना मुम्किन ही नहीं) है बातिल है। मस्लन किसी ऐसे को अपना बेटा बताता है कि उसकी उ़म्र इससे ज़ाइद है। या उस उ़म्र का उसका बेटा नहीं होसकता या मारूफुन्नसब (जिस का बाप मा'लूम हो) को कहता है यह मेरा बेटा नहीं है। क़ाबिले समाअ़त नहीं जो चीज़ आ़दतन मुहाल है वह भी क़ाबिले समाअ़त नहीं मस्लन एक फ़क़ीर फ़ाक़ा में मुब्तला है सब लोग उसकी मोहताजी से वाक़िफ़ हैं, अग़निया से ज़कात लेता है वह यह दावा करता है कि फुलां शख़्स को मैंने एक लाख अशर्फ़ी क़र्ज़ दी हैं वह मुझे दिलादी जायें, या कहता है फुलाँ अमीर कबीर ने मेरे लाखों रूपये ग़सब कर लिये हैं वह मुझको दिलाये जायें।

(3) खुद मुद्दई अपनी ज़ुबान से दावा करे बिला उ़ज़्र उसकी तरफ़ से दूसरा शख़्स दावा नहीं कर सकता। अगर मुद्दई ज़ुबानी दावा करने से आ़जिज़ है तो लिखकर पेश करे। अगर क़ाज़ी उसकी ज़ुबान न समझता हो तो मुतर्जिम मुक़र्रर करे।

(4)मुद्दा अ़लैह या उसके नायब के सामने अपने दावा को बयान करे और उसके सामने सुबूत पेश करे।

(5)दावा में तनाक़ुज़ (एक दूसरे से टकराव की बातें) न हों यानी उससे पहले ऐसी बात न कही हो जो उस दावे के मुनाक़िज़ हो। मस्लन मुद्दा'अ़लैह की मिल्क का खुद इक़रार कर चुका है अब यह दावा करता है कि उस इक़रार से पहले यह चीज़ मैंने उससे ख़रीदली है नसब और हुर्रियत (आज़ाद होना, ग़ुलाम न होना) में तनाक़ुज़ मानेअ् दावा नहीं।

(6)दावा ऐसा हो कि बा'दे सुबूत ख़स्म पर कोई चीज़ लाज़िम की जासके यह दावा कि मैं उसका वकील हूँ बेकार है। (ख़ानिया, बहरुर्राइक़, मिनहतुलख़ालिक़, आलमगीरी जि.4, स.302)

मसअ्ला.6:– जब यह दावा सही होगया तो मुद्दा'अ़लैह पर जवाब देना हाँ या ना के साथ लाज़िम है अगर सुकूत करेगा, चुप रहा। ये भी इन्कार के मअ्ने में है इसके मुक़ाबले में मुद्दई को गवाह पेश करने का हक़ है गवाह न होने की सूरत में मुद्दा'अ़लैह पर हल्फ़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– मनकूल शय का दावा हो तो यह भी बयान करना होगा कि वह मुद्दा अ़लैह के क़ब्ज़े में नाहक़ तौर पर है क्योंकि हो सकता है कि चीज़ मुद्दई की हो। और मुद्दा अ़लैह के पास मरहून (गिरवीं) हो, या समन न देने की वजह से उसने रोक रखी हो। (दुर्रेमुख़्तार जि.8, स.331)

मसअ्ला.8:– एक चीज़ में मिल्के मुतलक़ का दावा करता है और वह चीज़ मुद्दा अ़लैह के मुस्ताजिर (किरायेदार) या मुस्तईर (आरिज़ी तौर पर इस्तेमाल के लिये किसी से कोई चीज़ लेने वाला) या मुरतहिन (जिसके पास चीज़ गिरवी रखी जाये) के कब्जे में है। इस सूरत में मालिक व क़ाबिज (जिसका क़ब्ज़ा है उसको क़ाबिज़ कहते हैं) दोनों को हाज़िर होना ज़रूरी है। हाँ अगर मुद्दई यह कहता है के मालिक के इजारे पर देने से क़ब्ल मैंने खरीदी है तो तन्हा मालिक ख़स्म है इसी के हाज़िर होने की ज़रूरत है (बहर जि.7)

मसअ्ला.9:– ज़मीन के मुताल्लिक़ दावा है और ज़मीन मज़ारा (खेती करने वाला) के क़ब्ज़े में है अगर बीज उसने अपने डाले हैं या ज़राअ़त उग चुकी है तो मज़ारा का हाज़िर होना भी ज़रूरी है वरना नहीं। (बहर जि.7 स.331)

मसअ्ला.10:– मनकूल चीज़ (ऐसी चीज़ जो उठाके लेजाई जासकती हो) अगर ऐसी हो कि उसके हाज़िर करने में दुश्वारी न हो तो मुद्दा अ़लैह के ज़िम्मे उसका हाज़िर करना है ताके दावा और शहादत और हल्फ़ में उसकी तरफ़ इशारा किया जासके। अगर वह चीज़ हलाक होचुकी है या ग़ायब होगई है तो मुद्दई उसकी क़ीमत बयान करदे और अगर चीज़ मौजूद है मगर उसके लाने में दुश्वारी हो अगरचे फ़क़त इतनी ही कि उसके लाने में मज़दूरी देनी पड़ेगी, तकलीफ़ होगी जैसे चक्की और ग़ल्ले की ढेरी बकरियों का रेवड़ तो मुद्दई क़ीमत ज़िक्र करेगा और क़ाज़ी मुआ़यना के लिये अपना अमीन भेजेगा। (दुर्रेमुख़्तार जि.7 स.331)

मसअ्ला.11:– दावा किया कि फुलां शख़्स ने मेरी फुलां चीज़ ग़सब करली है और मुद्दई उसकी क़ीमत नहीं बताता है जब भी दावा मसमूअ़ है, सुना जायेगा यानि मुद्दा अ़लैह मुन्किर है तो उस पर हल्फ़ दिया जायेगा और मुक़िर (इक़रार करता है) है या क़सम से इन्कार करता है तो बयान करने पर मजबूर किया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार जि.8 स.332)

मसअ्ला.12:– चन्द जिन्स व नोअ़ व सिफ़त की चीजों का दावा किया और तफ़सील के साथ क़ीमत नहीं बताता टोटल क़ीमत बता देना काफ़ी है इसके सुबूत के गवाह लिये जायेंगे और हल्फ़ की ज़रूरत होगी तो टोटल पर एक दम हल्फ़ दिया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार जि.8, स.332)

मसअ्ला.13:– मुद्दआ़ अ़लैह ने मुद्दई की कोई चीज़ हलाक करदी है उसकी क़ीमत दिलापाने का दावा है तो मुद्दई उसकी जिन्स व नोअ़ बयान करें ताकि क़ाज़ी को मालूम होसके कि क्या फ़ैसला देना चाहिए। क्योंकि बाज़ चीज़ें मिस्ली हैं जिनका तावान मिस्ल से है बाज़ क़ीमती चीज़ें जिनका तावान क़ीमत से दिलाया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार, आ़लमगीरी)

मसअ्ला.14:– कुर्ते का दावा हो तो जिन्स व नोअ़ व सिफ़त व क़ीमत बयान करने के अ़लावा यह भी बयान करना होगा कि ज़नाना है या मर्दाना, बड़ा है या छोटा। (आलमगीरी जि.4 स.7)

मसअ्ला.15:– वदीअ़त (अमानत) का दावा हो तो यह बयान करना भी ज़रूरी है कि यह चीज़ फुलां जगह अमानत रखी गई थी ख़्वाह वह चीज़ ऐसी हो जिसके लिये बारबर्दारी सर्फ़ (किराया ख़र्च करना) करनी पड़े या न पड़े और ग़सब का दावा हो तो जगह बयान करने की वहाँ ज़रूरत है। इस चीज़ के जगह बदलने में बारबर्दारी सर्फ़ करनी पड़े (चीज़ लाने की मज़दूरी देना पड़े) वरना जगह बयान करना ज़रूरी नहीं। ग़ैर मिस्ली चीज़ के ग़सब का दावा हो तो ग़सब के दिन जो उसकी क़ीमत हो वह बयान करे। दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– जायदाद ग़ैर मनकूला (वह जायदाद जो एक जगह से दूसरी जगह न लेजाई जासके) का दावा हो तो उसके हुदूद का बयान करना ज़रूरी है दावा में भी और शहादत में भी अगर यह जायदाद बहुत मशहूर हो जब भी उसके हुदूद का बयान करना ज़रूरी है।गवाहों को वह मकान जिसके मुताल्लिक़ दावा है मालूम है यानी बिऐनेही उसको पहचानते हों तो उनको हुदूद का ज़िक्र करना ज़रूरी नहीं

और अक़्क़ार (ग़ैर मनकूला) में यह भी बयान करना होगा कि वह किस शहर किस मोहल्ले किस कूचे में है। (हिदाया जि.2 स.154, दुर्रेमुख़्तार जि.8 स.334)
मसअ्ला.17:– तीन हदों का बयान करना काफ़ी है। मुद्दई या गवाह चौथी हद छोड़ गया। दावा सही है और गवाही भी सही है। और अगर चौथी हद ग़लत बयान की यानी जो चीज़ उस जानिब है उसके सिवा दूसरी चीज़ को बताया तो न दावा सही है, न शहादत क्योंकि मुद्दआ अलैह यह कहेगा कि यह चीज़ मेरे पास नहीं है फिर मुझ पर दावा क्यों है और अगर मुद्दा अलैह यह कहे कि यह महदूद मेरे क़ब्जे में है मगर तूने हुदूद के ज़िक्र में ग़लती की ये बात क़ाबिले इल्तिफ़ात नहीं यानी मुद्दा अलैह पर डिग्री न होगी। हाँ दोनों ने बिल इत्तिफ़ाक़ ग़लती का एअ्तिराफ़ किया तो सिरे से इस मुक़दमे की समाअत होगी। (ख़ानिया जि.2 स.64) और अगर सिर्फ़ दो ही हदें ज़िक्र कीं तो न दावा सही है, न शहादत। रही यह बात कि क्योंकर मालूम हो कि मुद्दई या शाहिद ने हद के बयान में ग़लती की है उसका बयान ख़ुद उस के इक़रार से होगा मुद्दआ अलैह उसकी ग़लती पर गवाह नहीं पेश करेगा। (बहर जि.7 स.339, दुर्रेमुख़्तार जि.8, स.335)
मसअ्ला.18:– तीन हदें ज़िक्र कर दी हैं एक बाक़ी है जब यह सही है तो चौथी जानिब कहाँ तक चीज़ शुमार होगी उसकी सूरत यह की जायेगी कि तीसरी हद जहाँ ख़त्म हुई है वहाँ से पहली हद के किनारे तक एक ख़ते मुस्तक़ीम (सीधी लाइन) खींचा जाये और उसको चौथी हद क़रार दिया जाये। (बहरुर्राइक़ स.338)
मसअ्ला.19:– रास्ता हद होसकता है उसका तूल व अर्ज़ बयान करना ज़रूरी नहीं नहर को हद क़रार नहीं दे सकते। शहर पनाह को हद क़रार दे सकते हैं और ख़न्दक़ को नहीं और अगर यह कहा कि फ़ुलां जानिब फ़ुलां शख़्स की ज़मीन या मकान है अगरचे इस शख़्स के इस शहर या गाँव में बहुत मकान, बुहत ज़मीनें हैं जब भी यह दावा और शहादत सही है। (बहर स.338)
मसअ्ला.20:– हुदूद में जो चीज़ें लिखी जायेंगी उनके मालिकों के नाम और उनके बाप और दादा के नाम लिखे जायें यानी फ़ुलां बिन फ़ुलां बिन फ़ुलां और अगर वह शख़्स मारूफ़ व मशहूर हो तो फ़क़त उसका ही नाम काफ़ी है। अगर कोई जायदादे मौक़ूफ़ा किसी जानिब में वाक़ेअ् हो तो उसको इस तरह तहरीर किया जाये कि पूरी तरह मुमताज़ होजाये। मसलन अगर वह वाक़िफ़ के नाम से मशहूर है तो उसका नाम जिन लोगों पर वक़्फ़ है उनके नाम से मशहूर हो तो उनके नाम लिखे जायें। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल मोहतार जि.8 स.335)
मसअ्ला.21:– मकान का दावा किया क़ाज़ी ने दरयाफ़्त किया क्या तुम उस मकान के हुदूद को पहचानते हो उसने कहा नहीं। दावा ख़ारिज होगया। अब फिर दावा करता है और हुदूद बयान करता है यह दावा मसमूअ् (क़ाबिले क़बूल) न होगा और अगर पहली मर्तबा के दावे में उसने यह कहा था कि जिन लोगों के मकान हुदूद में वाक़ेअ् हैं उनके नाम मुझे नहीं मालूम हैं इस वजह से ख़ारिज हुआ था और अब दावा के साथ नाम बताता है तो यह दावा मस्मूअ् होगा।(आलमगीरी जि.4 स.11)
मसअ्ला.22:– अक़्क़ार (ग़ैर मनकूला जायदाद जैसे ज़मीन वग़ैरा) में मुद्दई को यह ज़िक्र करना होगा कि मुद्दा अलैह इस पर क़ाबिज है क्योंकि बिग़ैर उसके ख़स्म (मद्दे मक़ाबिल) नहीं हो सकता। और दोनों का मुत्तफ़िक़ होकर मुद्दा अलैह का क़ब्जा ज़ाहिर करना यह काफ़ी नहीं है बल्कि गवाहों से क़ब्ज़ाए मुद्दा अलैह साबित करना होगा या क़ाज़ी को ज़ाती तौर पर इसका इल्म हो। क्योंकि हो सकता है कि एक मकान के मुताल्लिक़ ज़ैद ने अम्र पर दावा कर दिया और अम्र ने इक़रार कर लिया ज़ैद के मुवाफ़िक़ फ़ैसला होगया। हालांकि वह मकान न ज़ैद का है, न अम्र का बल्कि तीसरे का है और उसके क़ब्ज़े में है। ये दोनों मिल गये उनमें एक मुद्दई बन गया है एक मुद्दा अलैह ताकि डिग्री कराके आपस में बांट लें। (दुर्रेमुख़्तार जि.8 स.336, हिदाया जि.2 स.155)
मसअ्ला.23:– अक़्क़ार में अगर ग़सब का दावा हो कि मेरा मकान फ़ुलां ने ग़सब कर लिया या

ख़रीदारी का दावा हो कि मैंने वह मकान ख़रीदा है तो उसकी ज़रूरत नहीं है कि गवाहों से मुद्दा अलैह का क़ाबिज़ होना साबित करे कि फ़ेल का दावा क़ाबिज़ और गैर क़ाबिज़ दोनों पर होता है। फ़र्ज़ किया जाये कि वह क़ाबिज़ नहीं है तो दावे पर कोई असर नहीं होता। (दुर्रेमुख़्तार जि.8 स.337)

मसअ्ला.24:– यह दावा किया कि फ़ुलां शख़्स के मकान में मेरे मकान की नाली जाती है या उसके मकान में परनाला गिरता है या आबचक (मकान के पीछे छत का पानी गिरने की जगह) है तो यह बयान करना होगा कि बरसाती पानी जाने का रास्ता है या वहां गिरता है इस्तेमाली पानी भी और नाली या आबचक की जगह भी मुतअ्य्यन करनी होगी कि उस मकान के किस हिस्से में है।(आलमगीरी जि.4 स.11)

मसअ्ला.25:– यह दावा किया कि फ़ुलां शख़्स ने मेरी ज़मीन में दरख़्त नसब किये हैं तो ज़मीन को बताना होगा कि किस ज़मीन में दरख़्त लगाये हैं और क्या दरख़्त लगाये हैं। यह दावा किया कि मेरी ज़मीन में मकान बना लिया है तो ज़मीन को बयान करे और मकान का तूल व अर्ज़ बयान करे। और यह कि ईंट का बनाया है, या कच्चा मकान है। (आलमगीरी जि.4 स.11)

मसअ्ला.26:– दूसरे का मकान बैअ् (बेच दिया) कर दिया और मुश्तरी को क़ब्ज़ा भी देदिया अब मालिक आया और उसने बाइअ् पर दावा किया उसकी चन्द सूरतें हैं। अगर मालिक का यह मक़सद है कि मकान वापस लूँ तो दावा सही नहीं कि बाइअ् के पास मकान कब है जो उससे लेगा और अगर यह मक़सूद है कि उससे तावान ले तो इमामे आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु का मसलक मालूम है कि अक़्क़ार में इमाम के नज़्दीक ग़सब से ज़मान नहीं मगर चूँकि उस शख़्स ने बैअ् करके तस्लीमे मबीअ् की है इसमें ज़्यादा सहीह क़ौल यह है कि ज़मान वाजिब है और अगर मालिक यह चाहता है कि बैअ् जाइज़ करके बाइअ् से समन वसूल करले यह दावा सही है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.27:– एक शख़्स ने जायदादे गैर मनकूला बैअ् की और बाइअ् का बेटा या बीवी या बअ्ज़ दीगर करीबी रिश्तेदार वहाँ हाज़िर थे। और मुश्तरी (ख़रीदार) मबीअ् पर कब्ज़ा करके। एक ज़माने तक तसर्रुफ़ करता रहा। फिर उन हाज़ेरीन में किसी ने मुश्तरी पर दावा किया कि बाइअ् मालिक न था मैं मालिक हूँ यह दावा मसमूअ् न होगा और उसका सुकूत (ख़ामोश रहना) मिल्के बाइअ् का इकरार मुतसव्वर होगा (यानी इक़रार समझा जायेगा)। (आलमगीरी)

मसअ्ला.28:– यह दावा किया कि यह मकान जो मुद्दा अलैह के क़ब्जे में है यह मेरे बाप का है जो मरगया और इसको तर्का में छोड़ा और मेरे बाप ने इस मकान के अलावा दूसरी अशया जानवर वग़ैरा भी तर्का में छोड़ी। और मैं और मेरी एक बहन कुल दो वारिस् छोड़े हमने तर्के को बाहम तक़सीम करलिया और यह मकान तन्हा मेरे हिस्से में पड़ा। मेरी बहन ने अपना कुल हिस्सा उन अशया से वसूल करलिया। यह मकान ख़ास मेरी मिल्क है यह दावा मसमूअ है (सुनने लायक है)। (आलमगीरी)

मसअ्ला.29:– यह दावा किया कि यह मकान मुझे अपने बाप या माँ से मीरास् में मिला है और मूरिस् का नाम व नसब कुछ नहीं बयान किया यह दावा मसमूअ नहीं है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.30:– यूँ दावा किया कि इसके पास जो फुलाँ चीज़ है वह मेरी है क्योंकि इसने मेरे लिये इक़रार किया है या उसपर मेरे हज़ारों रूपये हैं इस लिये कि उसने ऐसा इक़रार किया है यानी इक़रार को दावे की बिना क़रार देता है यह दावा मसमूअ् नहीं हाँ अगर मिल्क का दावा करता और इक़रार को सुबूत में पेश करता तो दावा मसमूअ् होता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.31:– मुद्दा अलैह ने इक़रारे मुद्दई को दफ़ए दावा में पेश किया यानी मुद्दई को मुझपर दावा करने का हक़ नहीं है क्योंकि उसने खुद मेरे लिये इक़रार किया है यह मसमूअ् है। यानी उसकी वजह से दावए मुद्दई दफ़ा होजायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.32:– दैन का दावा हो तो वो मकील हो या मौज़ून (नापने वाली हो या तोलने वाली) नक़द हो या गैर नक़द उसका वस्फ़ बयान करना होगा और मिस्ली चीज़ों में जिन्स, नोअ् सिफ़त, मिक़दार सबबे वुजूब (चीज़ की अच्छाई या बुराई, कितनी है हक़ के लाज़िम होने का सबब) सब ही को बयान करना

होगा मसलन यह दावा किया कि फुलाँ के ज़िम्मे मेरे इतने गेहूँ हैं और सबबे वुजूब नहीं बयान करता कि उसने कर्ज लिया है या उससे मैंने सलम किया है या उसने गसब किया है ऐसा दावा मसमूअ् नहीं और सबब बयान करदेगा मसमूअ् होगा। और कर्ज की सूरत में जहाँ कर्ज लिया है वहाँ देना होगा और गसब किया है तो जहाँ से गसब किया है वहाँ और सलम है तो जो जगह तस्लीम की करार पायी है, वहाँ। (दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.33:– सलम का दावा हो तो शराइत का बयान करना ज़रूरी है अगर यह कहदिया कि इतने मन गेहूँ सलम सही की रू से वाजिब हैं। इसको बअ्ज़ मशाइख़ काफ़ी बताते हैं। इसे शराइते सेहत के कायम मकाम कहते हैं और बैअ् के दावे में बैअ् सही कहना काफ़ी है। शराइते सेहत बयान करना जरूरी नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– यह दावा किया कि मेरा उसका ज़िम्मे इतना चाहिए। हमारे माबैन जो हिसाब था उसके सबब से यह सही नहीं कि हिसाब सबबे वुजूब नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.35:– यह दावा है कि मय्यित के ज़िम्मे इतना दैन है और यह बयान करदिया कि वह बिगैर दैन अदा किये मरगया और उसने इतना तर्का छोड़ा है जिससे मेरा दैन अदा हो सकता है। और तर्का के इन वारिसों के कब्जे में है यह दावा मसमूअ् है मगर वारिस् को दैन अदा करने का उस वक्त हुक्म होगा जब उसे तर्का की फुलाँ चीज़ें उसे मिली हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.36:– दाइन ने दैन का दावा किया। मदयून कहता है कि मैंने इतने रूपये तुम्हारे पास भेज दिये थे या फुलाँ शख्स ने बिगैर मेरे कहने के दैन अदा करदिया मदयून की यह बात मसमूअ् होगी। दाइन पर हल्फ दिया जायेगा और अगर मदयून कर्ज़ का दावा करता है। कहता है कि फुलाँ शख्स ने जो तुम्हें इतने रूपये कर्ज दिये थे वह मेरे रूपये थे यह बात मसमूअ् न होगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.37:– यह दावा किया कि मबीअ् का समन उसके ज़िम्मे है और मबीअ् पर कब्ज़ा करचुका है तो मबीअ् क्या चीज थी। सेहते दावा के लिये उसका बयान करना जरूरी नहीं। इसी तरह मकान बेचा था उसके समन का दावा है तो उसका दावे में उसके हुदूद बयान करना जरूरी नहीं और अगर मबीअ् पर मुश्तरी का कब्जा नहीं हुआ है तो मबीअ् का बयान करना जरूरी है बल्कि मुम्किन हो तो हाज़िर लाना होगा ताकि उसकी बेअ् साबित की जा सके। (आलमगीरी)

मसअ्ला.38:– दावा सही होगया तो काजी मुद्दा अलैह से इस दावे के मुताल्लिक दरयाफ्त करेगा कि इस दावे के मुताल्लिक तुम क्या कहते हो और अगर दावा सही न हो तो मुद्दा अलैह से कुछ नहीं दरयाफ्त करेगा क्योंकि इसपर जवाब देना वाजिब नहीं। अब मुद्दा अलैह इकरार करेगा या इन्कार। अगर इकरार करलिया बात ख़त्म होगई। मुद्दई के मुवाफ़िक फ़ैसला होगा और मुद्दा अलैह के इन्कार की सूरत में मुद्दई के ज़िम्मे यह है कि वह अपने दावे को गवाहों से साबित करे। अगर साबित कर दिया मुद्दई के मुवाफ़िक फ़ैसला किया जायेगा अगर गवाह पेश करने से मुद्दई आजिज़ है और मुद्दा अलैह पर हल्फ़ देने को कहता है तो उसपर हल्फ़ दिया जायेगा बिगैर तलबे मुद्दई हल्फ नहीं दिया जायेगा क्योंकि हल्फ़ देना मुद्दई का हक है उसका तलब करना ज़रूरी है अगर मुद्दा अलैह ने कसम खाली मुद्दई का दावा ख़ारिज और कसम से इन्कार करता है तो मुद्दई का दावा दिलाया जायेगा। (हिदाया, दुर्रेमुख्तार वगैरहुमा)

मसअ्ला.39:– मुद्दा अलैह यह कहता है 'न मैं इकरार करता हूँ न इन्कार' तो काज़ी हल्फ़ नहीं देगा बल्कि दोनों बातों में से एक पर मजबूर करेगा उसे कैद कर देगा। यहाँ तक कि इकरार करे या इन्कार। यूँही अगर मुद्दा अलैह ख़ामोश है कुछ बोलता ही नहीं और किसी मर्ज़ की वजह से बोलने से आजिज़ भी नहीं है तो उसे मजबूर किया जायेगा मगर इमाम अबू युसुफ फ़रमाते हैं कि सुकूत ब मन्ज़िला इन्कार के है (यानी यह ख़ामोशी इनकार के कायम मकाम है) और इस बात में उन्हीं के कौल पर फतवा दिया जाता है। (दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.40:– मुद्दा अ़लैह ने मुद्दई से कहा अगर तुम क़सम खाजाओ तो मैं माल का ज़ामिन हूँ। मुद्दई ने क़सम खाली मुद्दा'अ़लैह माल का ज़ामिन न होगा कि यह तग़य्युरे शरअ् (यानी हुक्मे शरअ् को बदलना) से है। शरअ् में मुद्दई पर ह़ल्फ़ नहीं है। यूंही ज़ैद ने अ़म्र पर हज़ार रूपये का दा़वा किया अ़म्र ने कहा अगर क़सम खाजाओ कि मेरे ज़िम्मे तुम्हारे हज़ार रुपये हैं तो हज़ार रुपये देदूँगा। ज़ैद ने क़सम खाली और अ़म्र ने इस वजह से कि क़सम खाने पर देने को कहा था देदिये। यह देना बात़िल है जो कुछ दिया है उससे वापस ले सकता है। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.41:– मुद्दई ने मुद्दा'अ़लैह से क़सम खाने को कहा उसने क़ाज़ी के सामने बिग़ैर हुक्मे क़ाज़ी क़सम खाली। यह क़सम मोअ्तबर नहीं कि अगरचे क़सम का मुत़ालबा मुद्दई का काम है। मगर ह़ल्फ़ देना क़ाज़ी का काम है जब तक क़ाज़ी उसपर ह़लफ़ न दे उसका क़सम खाना बेसूद है(आलमगीरी)

मसअला.42:– शौहर ग़ायब है औ़रत ने क़ाज़ी के यहाँ दरख़्वास्त की कि मेरे लिये नफ़क़ा मुक़र्रर कर दिया जाये। क़ाज़ी औ़रत पर ह़ल्फ़ देगा कि क़सम खा 'कि तेरा शौहर जब गया तुझे नफ़क़ा नहीं दे गया'। यह ह़ल्फ़ बिग़ैर त़लबे मुद्दई है। (आलमगीरी)

मसअला.43:– मय्यित पर दैन का दा़वा किया और सुबूत के गवाह भी रखता है मगर ब'वजूद गवाह क़ाज़ी खुद बिग़ैर वारिस् या वस़ी की त़लब के उसपर यह क़सम देगा कि न तूने मय्यित से दैन वसूल पाया, न किसी दूसरे ने उसकी त़रफ़ से तुझे दैन अदा किया, न किसी दूसरे ने तेरे हुक्म से दैन पर कब्ज़ा किया, न तूने कुल दैन या उसका कोई जुज़ मुआ़फ़ किया, न कुल दैन या जुज़ का किसी पर हवाला तूने क़बूल किया, न दैन के बदले में कोई चीज़ तेरे पास रहन है, यहाँ भी बिग़ैर त़लब खुद क़ाज़ी यह ह़ल्फ़ देगा बिग़ैर ह़ल्फ़ लिये क़ाज़ी ने दैन अदा करने का हुक्म देदिया। यह हुक्म नाफ़िज नहीं है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुह़तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.44:– गवाह से सुबूत होने के बा़द क़सम नहीं दी जाती मगर इन मसाइले ज़ेल में (1) **मय्यित** पर दैन का दा़वा किया और गवाहों से स़ाबित कर दिया या तर्का में ह़क़ का दा़वा किया और गवाहों से स़ाबित कर दिया क़ाज़ी ह़ल्फ़ देगा कि क़सम खाकर मुद्दई यह कहे कि मैने अपना दैन या ह़क़ वसूल नहीं पाया है यहाँ बिग़ैर दा़वा ह़ल्फ़ दिया जायेगा। जिस त़रह़ हुकूकुल्लाह में ह़ल्फ़ दिया जाता है। (2) **किसी** ने मबीअ् में अपना ह़क़ स़ाबित किया कि यह चीज़ मेरी है और गवाहों से अपनी मिल्क स़ाबित करदी। मुश्तरी मुस्तह़िक़ पर यह ह़ल्फ़ देगा कि न तूने यह चीज़ बैअ् की, न हिबा, न स़दक़ा की न यह चीज़ तेरी मिल्क से ख़ारिज हुई। (3) **किसी** ने दा़वा किया कि यह मेरा गुलाम है भाग गया है और गवाहों से स़ाबित किया कि इसको क़सम खाकर बताना होगा कि वह अब तक उसी की मिल्क में है न उसे बेचा है, न हिबा किया है। (बहर)

मसअ्ला.45:– मुद्दई ने दावे को गवाहों से स़ाबित करदिया। मुद्दा अ़लैह क़ाज़ी से यह कहता है कि मुद्दई पर यह क़सम दी जाये कि वह अपने दा़वे में सच्चा है या उसके गवाह पर क़सम दी जाये कि वह सच्चे हैं या शहादत में ह़क़ पर हैं। क़ाज़ी उसकी बात तस्लीम न करे बल्कि अगर गवाहों को मा़लूम हो कि क़ाज़ी उनपर ह़लफ़ देगा और मन्सूख़ पर अ़मल करेगा तो गवाही से बाज़ रह सकते हैं कि ऐसी ह़ालत में गवाही देना उन पर लाज़िम नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.46:– मग़सूब मिन्हु (जिसकी चीज़ किसी ने ग़सब की) कहता है 'मेरे कपड़े की कीमत सौ रूपये हैं'। और ग़ासिब यह कहता है मुझे मालूम नहीं क्या क़ीमत है मगर सौ रूपये नहीं। ग़ासिब को कीमत बयान करने पर मजबूर किया जायेगा अगर वह न बयान करे तो उसको यह क़सम खानी होगी कि सौ रूपये उसकी क़ीमत नहीं है उसके बा़द मग़सूब मिन्हु को ह़ल्फ़ दिया जायेगा। कि वह क़सम खाये सौ रूपये क़ीमत है अगर यह भी क़सम खा जाये तो सौ रूपये दिलवा दिये जायेंगे उसके बा़द अगर वह कपड़ा मिलगया तो ग़ासिब को इख़्तियार है कि कपड़ा लेले या कपड़ा मग़सूब मिन्हु को देकर अपने सौ रूपये वापस लेले। (बहरुर्राइक़)

मसअला.47:– मुद्दई यह कहता है कि मेरे गवाह शहर में मौजूद हैं कचहरी में हाज़िर नहीं मैं यह चाहता हूँ कि मुद्दा अ़लैह पर ह़ल्फ़ देदिया जाये। क़ाज़ी ह़ल्फ़ नहीं देगा बल्कि कहेगा 'तुम अपने गवाह पेश करो'। (हिदाया)

मसअला.48:– मुद्दई कहता है मेरे गवाह शहर से ग़ायब होगये हैं या बीमार हैं कि कचहरी तक नहीं आ सकते तो मुद्दा अ़लैह पर ह़ल्फ़ दिया जायेगा मगर क़ाज़ी अपना आदमी भेजकर तह़क़ीक़ करले कि वाक़ई वह नहीं हैं या बीमार हैं। बिग़ैर इसके ह़ल्फ़ न दे। (आलमगीरी)

मसअला.49:– मिल्के मुत़लक़ का दावा किया यानी मुद्दई ने अपनी मिल्क का कोई सबब बयान नहीं किया और अपनी मिल्क पर गवाह पेश करता है। ज़िलयद यानी मुद्दा अ़लैह भी अपनी मिल्क के गवाह पेश करता है क्योंकि यह भी अपनी मिल्क का मुद्दई है। इस सूरत में ज़िलयद (काबिज़) के गवाह से खारिज (जिसके कब्ज़े में वह चीज़ नहीं है) उसके गवाह ज़्यादा तरजीह़ रखते हैं यानी ख़ारिज के गवाह मक़बूल हैं यह उस सूरत में है कि दोनों ने मिल्क की कोई तारीख़ नहीं बयान की या दोनों की एक तारीख़ है या ख़ारिज की तारीख़ पहले की है। (हिदाया व ग़ैरहा)

मसअला.50:– मुद्दा'अ़लैह ने इन्कार किया उस पर ह़ल्फ़ दिया गया ह़ल्फ़ से भी इन्कार करदिया। ख़्वाह यूँ कि उसने कहदिया। मैं ह़ल्फ़ नहीं उठाऊँगा या सुकूत किया (ख़ामोश रहा) और मा'लूम है कि यह सुकूत किसी आफ़त की वजह से नहीं मसलन बहरा नहीं है कि सुना ही नहीं और यह इन्कार या सुकूत मज्लिसे क़ाज़ी में है तो क़ाज़ी फ़ैसला करदेगा और बेहतर यह है कि इस सूरत में तीन मर्तबा ह़ल्फ़ पेश किया जाये बल्कि क़ाज़ी को चाहिए कि उससे पहले ही कह दे "मैं तुझ पर तीन मर्तबा क़सम पेश करूँगा अगर तूने क़सम खाली तो तेरे मुवाफ़िक़ फ़ैसला करूँगा वरना तेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला करदूँगा"। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.51:– हलफ़ से इन्कार पर फ़ैसला करदिया गया अब कहता है 'मैं क़सम खाऊँगा' उसकी त़रफ़ इल्तिफ़ात (तवज्जोह) नहीं किया जायेगा जो हो चुका, हो चुका। मगर जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ है वह अगर ऐसी बात पर शहादत पेश करना चाहता हो जिससे फ़ैसला बात़िल होजाये तो गवाह लिये जा सकते हैं। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.52:– क़ाज़ी ने दो मर्तबा क़सम पेश की उसने कहा मुझे तीन दिन की मोहलत दी जाये। तीन दिन के बाद आकर कहता है 'मैं क़सम नहीं खाऊंगा' उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला न किया जाये। जब तक फिर क़ाज़ी उसपर क़सम पेश न करे और वह इन्कार न करे और उस वक़्त भी तीन मर्तबा क़सम पेश करना और इन्कार करना हो। (आलमगीरी)

मसअला.53:– मुद्दा'अ़लैह का जवाब न देना इस वजह से है कि वह गूंगा है। क़ाज़ी हुक्म देगा कि इशारे से जवाब दे। अगर इक़रार का इशारा किया इक़रार सह़ीह़ है। इन्कार का इशारा किया इस पर क़सम दी जायेगी क़सम खा लेने का इशारा किया क़सम होगई, क़सम से इन्कार का इशारा किया नकूल होगा (यानी क़सम से इनकार होगा)। और उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला किया जायेगा।(आलमगीरी)

मसअला.54:– एक सूरत फ़ैसले की यह भी है कि दावा क़त़ई क़राइन से साबित हो जिसमें शुबह की गुन्जाइश न हो मसलन एक ख़ाली मकान से एक शख़्स ख़ून आलूदा छुरी लिये हुए निकला। जिस पर ख़ौफ़ के आसार ज़ाहिर हैं लोग उस मकान में फ़ौरन घुसे और एक शख़्स को पाया जो जिबह़ किया गया है उनकी शहादत पर वह क़ातिल क़रार पायेगा अगरचे उन्होंने क़त्ल करते नहीं देखा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.55:– मुद्दा अ़लैह को शुबह पैदा होगया कि शायद मुद्दई जो कहता है वह ठीक हो इस सूरत में मुद्दई से मुसालह़त करे और क़सम न खाये और अगर मुद्दई राज़ी नहीं होता वह कहता है मैं तो हलफ़ ही दूँगा अगर ग़ालिब गुमान यह है कि मैं बर सरे हक़ हूँ (हक पर हूँ) तो ह़ल्फ़ करे वरना इन्कार करदे। (बहर)

मसअला.56:– एक शख़्स पर माल का दावा हुआ उसने इन्कार न किया और न इक़रार। और कहता है मुझे मुद्दई ने इस दावे से और हल्फ़ से बरी कर दिया है और मुद्दई कहता है मैंने इसे बरी नहीं किया है। देखा जायेगा अगर मुद्दई ने गवाहों से दावा साबित कर दिया है तो बरी न करने पर उसे क़सम दी जायेगी वरना मुद्दा अ़लैह पर क़सम देंगे। (बहर)

मसअला.57:– बाज़ दावे ऐसे हैं कि उनमें मुन्किर पर क़सम नहीं है। **(1)निकाह़** में मुद्दई मर्द हो या औ़रत। **(2) रजअ़त में**, मर्द ने उससे इन्कार किया या औ़रत ने मगर औ़रत उस वक़्त मुन्किर हो सकती है जब इद्दत गुज़र चुकी हो। **(3) ईला में फ़ेई**, मुद्दते ईला गुज़रने के बाद कोई भी उससे मुन्किर हो औ़रत हो या मर्द। **(4) इस्तीला** यानी उम्मे वलद होने का दावा उसकी सूरत यह है कि बान्दी उम्मे वलद होने का दावा करती है और मौला मुन्किर है। **(5) रुक़्क़ियत** यानी वह कहता है 'मैं फ़ुलाँ का गुलाम हूँ' और मौला (आक़ा) मुन्किर है या उसका अ़क्स। **(6)नसब** एक नसब का मुद्दई है दूसरा मुन्किर, **(7)विला**। **(8)हद (9)लिआ़न**। (हिदाया व ग़ैरहा)

मसअला.58:– औ़रत ने निकाह़ का दावा किया। मर्द मुन्किर है क़सम उस सूरत में नहीं है जैसा कि ज़िक्र हुआ लिहाज़ा क़ाज़ी फ़ैसला भी नहीं कर सकता। औ़रत क़ाज़ी से कहती है 'मैं निकाह़ कर नहीं सकती कि मेरा शौहर यह मौजूद है और यह ख़ुद निकाह़ से इन्कार करता है अब मैं मजबूर हूँ क्या करूँ, उसे यह हुक्म दिया जाये कि मुझे त़लाक़ देदे ताकि मैं दूसरे से निकाह़ करलूँ। शौहर कहता है अगर मैं त़लाक़ देता हूँ तो निकाह़ का इक़रार हो जाता है क़ाज़ी हुक्म देगा कि तू यह कहदे कि अगर यह मेरी औ़रत है तो उसे त़लाक़, और अगर मर्द निकाह़ का मुद्दई है औ़रत मुन्किर है शौहर कहता है मैं इसकी बहन से या इसके अ़लावा चौथी औ़रत से निकाह़ करना चाहता हूँ। क़ाज़ी इसकी इजाजत नहीं दे सकता क्योंकि जब यह शख़्स ख़ुद निकाह़ का मुद्दई है तो उसकी बहन से या चौथी औ़रत से क्योंकर निकाह़ कर सकता है बल्कि क़ाज़ी यह कहेगा अगर तू निकाह़ करना चाहता है तो उसे त़लाक़ देदे। (आलमगीरी)

मसअला.59:– यह जो बयान किया गया है कि निकाह़ वग़ैरा फ़ुलां फ़ुलां चीज़ों में मुन्किर पर ह़ल्फ़ नहीं है इससे मुराद यह है कि जब महज़ उन्हीं चीज़ों का दावा हो और अगर उससे मक़सूद माल हो तो मुन्किर पर ह़ल्फ़ है। मस्लन औ़रत ने मर्द पर दावा किया कि इतने महर पर मेरा निकाह़ उससे हुआ और उसने क़ब्ले दुख़ूल त़लाक़ देदी लिहाज़ा निस्फ़ महर मुझे दिलाया जाये मर्द कहता है 'मेरा निकाह़ ही इससे नहीं हुआ' या औ़रत दावा करती है कि इससे मेरा निकाह़ हुआ इससे नफ़क़ा मुझे दिलाया जाये। मर्द कहता है निकाह़ हुआ ही नहीं नफ़क़ा क्योंकर दूँ। इन सूरतों में मुन्किर पर ह़लफ़ है कि यहां मक़सूद माल का दावा है अगरचे बज़ाहिर निकाह़ का दावा है(आलमगीरी)

मसअला.60:– चोर चोरी से इन्कार करता है उसपर ह़ल्फ़ दिया जायेगा मगर ह़ल्फ़ से इन्कार करेगा तो हाथ नहीं काटा जायेगा माल लाज़िम होजायेगा और इक़रार करेगा तो **हाथ काटा** जायेगा। चोरी के सिवा और किसी ह़द के मामले में ह़ल्फ़ नहीं है। और अगर एक ने दूसरे को क़ाफ़िर, मुनाफ़िक़, ज़िन्दीक़ वग़ैरा अल्फ़ाज़ कहे, या उसको थप्पड़ मारा या इसी क़िस्म की कोई दूसरी हरकत की जिससे ताज़ीर (शरई सज़ा) वाजिब होती है और मुद्दई ह़ल्फ़ देना चाहता है तो ह़ल्फ़ दिया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी वग़ैरहुमा)

मसअला.61:– ह़ल्फ़ में नियाबत नहीं होसकती कि एक शख़्स की जगह दूसरा शख़्स क़सम खा जाये। इस्तेहलाफ़ में नियाबत हो सकती है। यानी दूसरा शख़्स मुद्दई के क़ायम मक़ाम होकर ह़ल्फ़ त़लब करसकता है मस्लन वकीले मुद्दई और वसी और वली और मुतवल्ली कि अगर यह मुद्दई हों ह़ल्फ़ का मुत़ालबा करसकते हैं। और मुद्दा अ़लैह हों तो उनपर ह़ल्फ़ आइद नहीं होता हाँ अगर उनपर दावा ऐसे अ़क़्द के मुतअ़ल्लिक जो ख़ुद उनका किया हो या उन्होंने असील पर कोई इक़रार किया है और अब इनकार करते हैं तो ह़ल्फ़ होगा मसलन एक शख़्स वकील बिलबैअ़ (बेचने का वकील)

है। यह मुवक्किल पर इक़रार करे सही है और क़सम से इन्कार करे यह भी सही है। यानी इसे नकूल क़रार दिया जायेगा (यानी क़सम से इनकार क़रार दिया जायेगा) और फ़ैसला किया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.62:– किसी शख़्स पर हल्फ़ दिया जाये उसकी दो सूरतें हैं। हल्फ़ ख़ुद उसी के फ़ेल के मुताल्लिक़ है या दूसरे के फ़ेल के मुताल्लिक़ अगर उसी के फ़ेल पर क़सम दीजाये तो बिल्कुल यक़ीनी तौर पर उससे यह कहलवाया जाये। 'ख़ुदा को क़सम मैंने इस काम को नहीं किया है' और दूसरे के फ़ेल के मुताल्लिक़ हो तो इल्म पर क़सम खिलाई जाये यानी वल्लाह मेरे इल्म में यह नहीं है कि उसने ऐसा किया है। हाँ अगर दूसरे का फ़ेल ऐसा हो जिसका ताल्लुक ख़ुद इसी से है तो अब इल्म पर क़सम नहीं होगी बल्कि क़तई तौर पर इन्कार करना होगा मसलन ज़ैद ने दावा किया कि जो गुलाम मैंने ख़रीदा है उसने चोरी की है और उसको गवाहों से साबित किया और ज़ैद यह भी कहता है कि बाइअ़ के यहाँ भी उसने चोरी की थी लिहाज़ा उस ऐब की वजह से बाइअ़ पर वापस किया जाये और बाइअ़ मुन्किर है ज़ैद बाइअ़ पर हल्फ़ देता है तो बाइअ़ को यूँ क़सम खानी होगी कि वल्लाह उसने मेरे यहाँ नहीं चोरी की है। इस सूरत में अगरचे चोरी करना गुलाम का फ़ेल है मगर चूंकि उसका ताल्लुक़ बाइअ़ से है लिहाज़ा फ़ेल की क़सम खानी होगी यूं नहीं कि मेरे इल्म में उसने चोरी नहीं की है और अगर दूसरे के फ़ेल से उसका ताल्लुक न हो तो फ़ेल की क़सम नहीं खिलाई जायेगी बल्कि यह क़सम खायेगा कि मेरे इल्म में यह बात नहीं है। मसलन एक चीज़ के मुताल्लिक़ ज़ैद भी कहता है मैंने ख़रीदी है और अ़म्र भी कहता है मैंने ख़रीदी है ज़ैद यह दावा करता है कि यह चीज़ मैंने अ़म्र के पहले ख़रीदी है और गवाह मौजूद नहीं हैं तो अ़म्र पर यह क़सम दी जायेगी 'ख़ुदा की क़सम मैं नहीं जानता हूँ कि ज़ैद ने यह चीज़ मुझसे पहले ख़रीदी है'। ज़ैद ने वारिस् पर एक चीज़ का दावा किया कि यह मेरी है वारिस् इन्कार करता है कि तू इल्म पर क़सम खायेगा और अगर वारिस् ने दूसरे पर दावा किया तो वह क़तई तौर पर क़सम खायेगा। एक शख़्स ने कोई चीज़ ख़रीदी या किसी ने उसे हिबा किया और दूसरा शख़्स उस चीज़ में अपनी मिल्क का दावा करता है मगर उसके पास कोई गवाह नहीं है। उस मुश्तरी या मौहूब'लहू पर यमीन है जो मुन्किर है। और यह क़तई तौर पर मुद्दई की मिल्क से इन्कार करेगा क्योंकि जब यह ख़रीद चुका है या उसको हिबा किया गया है तो यक़ीनन मालिक होगया। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.63:– मुद्दा अ़लैह पर हल्फ़ आया उसने मुद्दई को कुछ देदिया कि यह चीज़ हल्फ़ के बदले में लेलो और मुझपर हल्फ़ न दो या किसी चीज़ पर दोनों ने सुलह करली यह सही है यानी क़सम के मुआ़वज़े में जो चीज़ लीगई या कोई चीज़ देकर मुसालहत हुई जाइज़ है। इसके बाद अब मुद्दई इसपर हल्फ़ नहीं रख सकता और अगर मुद्दई ने यह कहदिया है कि मैंने तुझसे हल्फ़ साक़ित (ख़त्म) कर दिया है या तू हल्फ़ से बरी है या मैंने तुझे हल्फ़ हिबा करदिया यह सही नहीं। फिर उसके बाद भी हल्फ़ दे सकता है। (कन्ज़)

मसअला.64:– मुद्दा'अ़लैह ने पहले मुद्दई के दावे से इन्कार किया उसके ज़िम्मे हल्फ़ आया तो हल्फ़ से इन्कार किया इससे कोई यह न समझे कि मुद्दा अ़लैह इन्कारे दावा में झूटा है क्योंकि सच्चा था तो हल्फ़ क्यों नहीं उठाया। बल्कि यह समझना चाहिए कि आदमी कभी सच्ची क़सम से भी गुरेज करता है। अपना इतना नुकसान होगया यह गवारा, मगर क़सम खाना मन्जूर नहीं। अगरचे सच्ची होगी। लिहाज़ा इमामे आ'ज़म रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु नकूल (क़सम से इन्कार) को बज़्ल क़रार देते हैं कि माल देकर झगड़ा काटा यानी था तो हमारा मगर हमने छोड़ा और दैन का दावा हो तो मुद्दई को लेना जाइज़ इस वजह से है कि मुद्दई उसे अपना हक़ समझकर लेता है। न यह कि हक़्क़े मुद्दा'अ़लैह जानकर लेता है। (हिदाया वग़ैरह) यह इस सूरत में है कि मुद्दई व मुद्दा अ़लैह दोनों अपने अपने ख़्याल में सच्चे हों ना'जाइज़ तौर पर माल लेना न चाहते हों वरना जो ख़ुद अपना ना'हक़ पर होना जानता हो उसके गुनाहगार होने में क्या शुबह।

हल्फ़ का बयान

मसअ्ला.1:– क़सम अल्लाह अ़ज़्ज़वजल की खाई जाये। ग़ैर ख़ुदा की क़सम न खाई जाये, न खिलाई जाये। अगर क़सम में तग़लीज़ सख़्ती करना चाहें तो सिफ़ात का इज़ाफ़ा करें मस्लन वल्लाहिल अ़ज़ीम। क़सम है ख़ुदा की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं जो आ़लिमुल ग़ैब वश्शहादा, रहमान, रहीम है इस शख़्स का मेरे ज़िम्मे न यह माल है जिसका दावा करता है न इसका कोई जुज़ है। (हिदाया)

मसअ्ला.2:– तग़लीज़ में इससे कमी बेशी भी हो सकती है। अल्फ़ाज़े मज़कूर पर अल्फ़ाज़ बढ़ा दे या कम करदे क़ाज़ी को इख़्तियार है मगर यह ज़रूर है कि सिफ़ात का ज़िक्र बिग़ैर हर्फ़े अ़त्फ़ हो यह न कहे वल्लाह वर्रहमान वर्रहीम कि इस सूरत में अ़त्फ़ के साथ जितने अस्मा ज़िक्र किये जायेंगे उतनी क़स्में होजायेंगी और यह ख़िलाफ़े शरअ़ है। क्योंकि शरअ़न उसपर एक यमीन का मुतालबा है बाज़ फ़ुक़हा यह कहते हैं कि जो शख़्स सलाह व तक़्वा के साथ मारूफ़ हो (नेक शख़्स मशहूर हो) उस पर तग़लीज़ न की जाये दूसरों पर की जाये। बाज़ कहते हैं माले हक़ीर में तग़लीज़ न की जाये और माले कसीर में तग़लीज़ की जाये। (हिदाया)

मसअ्ला.3:– तलाक़ व इताक़ की यमीन न होनी चाहिए यानी मुद्दा अ़लैह से मस्लन यह न कहलवाया जाये कि अगर मुद्दई का यह हक़ मेरे ज़िम्मे हो तो मेरी औ़रत को तलाक़ या मेरा गुलाम आज़ाद बाज़ फ़ुक़हा यह कहते हैं कि अगर मुद्दा'अ़लैह बेबाक है। अल्लाह अ़ज़्ज़ वजल की क़सम खाने में परवाह नहीं करता और तलाक़ व इताक़ की क़सम में घबराता व डरता है कि बीवी या ग़ुलाम कहीं हाथ से न चले जायें ऐसे लोगों को तलाक़ व इताक़ का हल्फ़ दिया जाये मगर इस क़ौल पर अगर ब'ज़रूरत क़ाज़ी ने अ़मल किया और नकूल पर (क़सम से इन्कार करने पर) मुद्दई को माल दिलवाया यह क़ज़ा नाफ़िज़ नहीं होगी। (हिदाया, नताइजुल'अफ़कार)

मसअ्ला.4:– हल्फ़ में तग़लीज़े ज़मान या मकान के एअ़तिबार से न की जाये मस्लन अ़स्र के बाद या जुमा के दिन को मख़सूस करना या उससे कहना कि मस्जिद में चलकर क़सम खाओ, मिम्बर पर क़सम खाओ, फ़ुलाँ बुज़ुर्ग के मज़ार के सामने चलकर क़सम खाओ। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार,)

मसअ्ला.5:– इस ज़माने में तग़लीज़ या हल्फ़ की एक सूरत बहुत ज़्यादा मशहूर है कि क़ुर्आन मजीद हाथ में देकर कुछ अल्फ़ाज़ कहलवाते हैं मस्लन इसी क़ुर्आन की मार पड़े, ईमान पर ख़ात्मा नसीब न हो, ख़ुदा का दीदार नसीब न हो, शफ़ाअ़त नसीब न हो, यह बातें ख़िलाफ़े शरअ़ हैं। मुस्हफ़ शरीफ़ हाथ में उठाना हल्फ़े शरई नहीं। ग़ालिबन हल्फ़ उठाने का मुहावरा लोगों ने यहीं से लिया है। मुद्दा'अ़लैह अगर इस क़सम से इन्कार करदे तो दावा उसपर लाज़िम नहीं किया जायेगा बल्कि इन्कार ही करना चाहिए। एक तरीक़ा यह भी है कि मस्जिद में रख देता हूँ या फ़ुलां बुज़ुर्ग के मज़ार पर रख देता हूँ। तुम्हारा हो तो, चलकर उठालो। अगर हक़ीक़त में मुद्दई का नहीं है और उठा लिया तो मुद्दा अ़लैह उससे वापस ले सकता है कि इस्तिहक़ाक़ का यह शरई तरीक़ा नहीं है।

मसअ्ला.6:– यहूदी को यूँ क़सम दी जाये 'क़सम है ख़ुदा की जिसने मूसा अ़लैहिस्सलाम पर तौरैत नाज़िल फ़रमाई' और नसरानी को यूँ 'क़सम है, ख़ुदा की जिसने ईसा अ़लैहिस्सलाम पर इन्जील नाज़िल फ़रमाई' और दीगर कुफ़्फ़ार से यह कहलवाया जाये ख़ुदा की क़सम। उन लोगों से हल्फ़ लेने में ऐसी चीज़ें ज़िक्र न करे जिनकी यह लोग ताज़ीम करते हैं। (हिदाया)

मसअ्ला.7:– उन कुफ़्फ़ार से हल्फ़ लेने में ऐसा हरगिज़ न किया जाये कि उनके इबादत ख़ानों में जाकर क़सम दी जाये कि मुसलमानों को ऐसी लानत की जगह जाना मना है। (हिदाया वग़ैराह)

मसअ्ला.8:– मआज़ल्लाह हूनुद को उनके माबूदाने बातिल की क़सम देना जैसा कि बाज़ जाहिलों में देखा जाता है उनका हुक्म सख़्त है' तौबा करनी चाहिए। किसी तरह उनसे कहना, कि गंगाजल हाथ में लेकर कहदो। इनके अ़लावा और भी ना'जाइज़ व बातिल सूरतें हैं जिनसे एहतिराज़(बचना) लाज़िम।

मसअला.9:– जिस चीज़ पर ह़ल्फ़ दिया जाये वह क्या है। बाज़ सूरतों में सबब पर क़सम खिलाते हैं, बाज़ में नहीं। अगर सबब ऐसा हो जो मुर्तफ़ा (खत्म) होजाता है तो ह़ासिल पर क़सम खिलायी जाये और अगर मुर्तफ़ा न हो तो सबब पर क़सम खाये। इसकी चन्द सूरतें हैं। मुद्दई ने दैन (क़र्ज़) का दावा किया है या ऐन में मिल्क का दावा है या ऐन में किसी ह़क़ का दावा है फिर हर एक में मुत़लक़ का दावा है या किसी सबब का बयान है। अगर दैन का दावा हो और सबब न हो तो ह़ासिल पर ह़लफ़ देंगे यानी तुम्हारा मेरे ज़िम्मे में कुछ नहीं है। ऐन हाज़िर में मिल्के मुत़लक़ या ह़क़्क़े मुत़लक़ का दावा हो तो ह़ासिल पर ह़ल्फ़ देंगे मस्लन क़सम खायेगा कि न यह चीज़ फ़ुलाँ की है न उसका कोई जुज़ है। और अगर दावा की बिना सबब पर हो मस्लन कहता है 'मेरा उसपर दैन है' इस सबब से, कि मैंने क़र्ज़ दिया है या उसने मुझसे कोई चीज़ ख़रीदी है उसके दाम बाक़ी हैं। या यह चीज़ मेरी मिल्क है इस लिए कि मैंने ख़रीदी है या मुझे फ़ुलाँ ने हिबा की है या उस शख़्स ने ग़स्ब करली है या इसके पास अमानत या आ़रियत है इन सब सूरतों में ह़ासिल पर ह़ल्फ़ देंगे। मस्लन बैअ़ का मुद्दई है और वह मुन्किर है। क़सम यूँ खिलायी जाये कि मेरे और उसके दरम्यान में बैअ़ क़ायम नहीं। यूँ क़सम न खिलाई जाये कि मैंने बेची नहीं क्योंकि हो सकता है कि उसने बेचकर इक़ाला करदिया हो तो बैअ़ न करने पर क़सम देना मुद्दा'अ़लैह के लिये मुज़िर होगा। ग़स्ब में यूं क़सम खाये 'इस चीज़ के रद्द करने का मुझ पर ह़क़ नहीं'। यह नहीं कि मैनें ग़स्ब नहीं की क्योंकि कभी चीज़ ग़स्ब कर लेते हैं फिर हिबा या बैअ़ के ज़रिया मालिक होजाते हैं। त़लाक़ के दावे में यह क़सम खिलाई जाये कि मेरे निकाह़ से इस वक्त बाहर नहीं है क्योंकि कभी बाइन त़लाक़ देकर फिर तजदीदे निकाह़ होजाती है (दोबारा निकाह करलिया जाता है)। लिहाज़ा इन सब सूरतों में ह़ासिल पर क़सम दी जाये क्योंकि सबब पर क़सम देने में मुद्दा अ़लैह का नुक़सान है। हाँ अगर ह़ासिल पर क़सम देने में मुद्दई का ज़रर हो तो ऐसी सूरतों में सबब पर ह़ल्फ़ दिया जाये। मस्लन औ़रत को तीन त़लाक़ें दी हैं वह नफ़क़ए इद्दत का दावा करती है। और शौहर शाफ़ेई है जिसका मज़हब यह है कि ऐसी औ़रत का नफ़का वाजिब नहीं है अगर ह़ासिल पर क़सम दी जायेगी तो बेशक वह क़सम खालेगा कि मुझ पर नफ़क़ए इद्दत वाजिब नहीं है। क्योंकि उसका एअ़तिक़ाद व मज़हब यही है या जवार (पड़ोस) की वजह से शुफ़आ़ का दावा किया। और मुश्तरी शाफ़ेईउल मज़हब है उसका मज़हब यह है कि जवार की वजह से शुफ़आ़ का ह़क़ नहीं है। ह़ासिल पर अगर ह़ल्फ़ देंगे तो वह क़सम खालेगा कि उसको ह़क़्क़े शुफ़अ़ नहीं है और उसमें मुद्दई का नुक़सान है लिहाज़ा उसको यह क़सम देंगे कि खुदा की क़सम जायदादे मशफ़ूआ़ (जिस जायदाद पर शुफ़ा किया गया) को उसने खरीदा नहीं। (हिदाया व ग़ैराह)

मसअला.10:– मुद्दा अ़लैह ख़रीदने का इक़रार करता है और यह भी कहता है कि वह मकान मुद्दई के पड़ोस में है मगर जब उसे ख़रीदारी की इत्तिला हुई उसने त़लबे शुफ़ा नहीं किया लिहाज़ा ह़क़्क़े शुफ़ा साक़ित (खत्म) है। शफ़ीअ़ (शुफ़ा करने वाला) कहता है कि मैंने त़लब किया इस सूरत में शफ़ीअ़ की बात क़सम के साथ मोअ़तबर है। (आलमगीरी)

मसअला.11:– औ़रत ने रजई त़लाक़ का दावा किया इस बात पर क़सम खिलाई जाये कि इस वक़्त मुत़ल्लक़ा नहीं है और बाइन या तीन त़लाक़ का दावा हो तो यह क़सम खाये कि वह इस वक़्त एक त़लाक़ या तीन त़लाक़ से बाइन नहीं है। यूँही अगर औ़रत ने त़लाक़ का दावा नहीं किया। मगर एक शख़्स आ़दिल या चन्द अशख़ास फ़ुस्साक़ ने क़ाज़ी के पास त़लाक़ की शहादत दी और शौहर मुन्किर है। यहाँ क़ाज़ी शौहर को क़सम देगा एह़तियात़ का मुक़तज़ा यही है (एहतियात यही है) कि शौहर को क़सम दे। (आलमगीरी)

मसअला.12:– औ़रत ने दावा किया कि मैंने शौहर से त़लाक़ देने की दरख़्वास्त की थी शौहर ने कहा, तुम्हारा अम्र (मुआमला) तुम्हारे हाथ में है यानी उसने तफ़वीज़े त़लाक़ की (यानी बीवी को त़लाक़ का

इख़्तियार किया) मैंने ब'मुक़्तज़ाए तफ़वीज़ तलाक़ देली। और मैं शौहर पर हराम होगई। शौहर कहता है 'मैंने इख़्तेयारे तलाक़ दिया ही नहीं'। इस सूरत में हासिल पर क़सम नहीं खिलायी जायेगी बल्कि सबब पर क़सम खाये। यूँ कहे वल्लाह मैंने सुवाले तलाक़ के बाद उसका अम्र उसके हाथ में नहीं दिया और न मेरे इल्म में यह बात है कि उसने मज्लिसे तफ़वीज़ में उस तफ़वीज़ की रू से अपने नफ़्स को इख़्तेयार किया। और अगर शौहर तफ़वीज़े तलाक़ का इक़रार करता है। और उससे इन्कार करता है कि औरत ने अपने नफ़्स को इख़्तेयार किया तो शौहर यूँ क़सम खाये। कि वल्लाह मेरे इल्म में यह बात नहीं है कि उसने मज्लिसे तफ़वीज़ में अपने नफ़्स को इख़्तेयार किया। और अगर शौहर तफ़वीज़ से इन्कार करता है और यह इक़रार करता है कि औरत ने अपने नफ़्स को इख़्तेयार किया यूँ क़सम खाये। वल्लाह औरत के इख़्तेयार करने से पहले मैंने उस मज्लिस में उसे तफ़वीज़े तलाक़ नहीं की। (आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– दावा किया, कि फुलां चीज़ मैंने फुलां शख़्स के पास वदीअत रखी है। मुद्दा अ़लैह कहता है कि तूने तन्हा नहीं रखी है बल्कि तू और फुलाँ शख़्स दोनों ने वदियत रखी है तू यह चाहता है कि कुल चीज़ तुझे देदूं, यह नहीं करूँगा। मुद्दा अ़लैह पर क़सम दी जाये कि वल्लाह इस पूरी चीज़ का फुलाँ पर वापस करना, मुझ पर वाजिब नहीं। क़सम खा लेगा, दावा ख़ारिज हो जायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– इजारा या मुज़ारअ़त (किसी का अपनी ज़मीन इस तौर पर देना कि पैदावार दोनों में तक़सीम होजायेगी) में निज़ाअ् है तो मुन्किर यूं क़सम खाये 'वल्लाह मेरे और फुलां के माबैन इस मकान के मुताल्लिक़ इजारा क़ायम नहीं है' या उस खेत के मुताल्लिक़ मुज़ारअ़त क़ायम नहीं है'। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– मुद्दई ने उजरत का दावा किया और मुद्दा अ़लैह मुन्किर है। यूँ क़सम खाये। वल्लाह इस शख़्स की मेरे जिम्मे वह उजरत नहीं है जिसका वह मुद्दई है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– यह दावा किया, कि फुलां शख़्स ने मेरा कपड़ा फाड़ दिया, और कपड़ा क़ाज़ी के पास पेश करता है कि मुद्दा'अ़लैह पर हल्फ़ देदिया जाये। क़ाज़ी यह क़सम न दे कि मैंने कपड़ा नहीं फाड़ा। क्योंकि कभी फाड़ना ऐसा होता है जिसका हुक्म यह है कि फटने से जो उस कपड़े में कमी होगई है वही ले सकता है यह नहीं हो सकता कि फटा हुआ कपड़ा फाड़ने वाले को देकर उससे कपड़े की क़ीमत का तावान ले मस्लन थोड़ासा फाड़ा हो.इस सूरत में अच्छे कपड़े और फटे हुए की क़ीमत मालूम करें जो फ़र्क़ हो वह फाड़ने वाले से वसूल किया जाये और यूँ क़सम खाये, वल्लाह मुझपर इतने रूपये वाजिब नहीं और अगर ज़्यादा फटा हो तो मुद्दई को इख़्तेयार है। कपड़ा लेले, और नुक़सान का तावान ले या कपड़ा देदे और उसकी क़ीमत का तावान ले। इस सूरत में यह क़सम खाये कि मैंने इस तरह नहीं फाड़ा है जिसका मुद्दई ने दावा किया है(आलमगीरी)

मसअ्ला.17:– एक शख़्स के पास एक चीज़ है दो शख़्सों ने उसपर दावा किया। हर एक कहता है, चीज़ मेरी है उसने ग़सब करली है, या मैंने उसके पास अमानत रखी है। उस मुद्दा अ़लैह ने एक के लिये इक़रार करलिया कि इसकी है, और दूसरे के लिए इन्कार कर दिया। हुक्म होगा, कि चीज़ मुक़िर'लहू (जिसके लिये इक़रार किया गया) को देदे। अब दूसरा शख़्स मुद्दा'अ़लैह से हल्फ़ लेना चाहता हो, नहीं ले सकता क्योंकि उसके क़ब्ज़े में चीज़ ही नहीं रही वह मुद्दा'अ़लैह नहीं रहा। इसको अगर ख़ुसूमत करनी हो, मुक़िर'लहू से करे कि अब वह ही क़ाबिज़ है। अगर यह शख़्स यह कहे कि इसने दूसरे के लिये इस ग़र्ज़ से इक़रार किया कि अपने से यमीन को दफ़ा करे। लिहाज़ा क़सम दीजाये। क़ाज़ी इसकी बात क़बूल न करे और अगर दोनों के लिये उसने इक़रार किया दोनों को तस्लीम करदी जायेगी अब इनमें से अगर कोई यह चाहे, कि निस्फ़ बाक़ी के मुताल्लिक़ मुद्दा'अ़लैह पर हल्फ़ दिया जाये। यह बात ना'मक़बूल है और अगर दोनों के मुक़ाबिल में उसने इन्कार किया तो दोनों के मुक़ाबिल में हलफ़ दिया जाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– एक शख़्स ने अपने बाप के तर्के की ज़मीन हिबा करदी और मौहूब'लहू को क़ब्ज़ा

भी देदिया इसके बाद उस मय्यित की ज़ौजा दावा करती है कि यह ज़मीन मेरी है क्योंकि इस ज़मीन के हिबा करने के बाद तर्का तक़सीम हुआ और यह ज़मीन मेरे हिस्से में आई। मौहूब'लहू यह कहता है कि तक़सीम के बाद ज़मीन का हिबा हुआ है और यह ज़मीन वाहिब (हिबा करने वाले) के हिस्से में पड़ी थी और मौहूब'लहू अपनी बात को गवाहों से साबित न कर सका और औरत ने अपनी बात पर क़सम खाली मौहूब'लहू वुरसा पर हल्फ़ नहीं दे सकता, हुक्म यह होगा कि ज़मीन वापस करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.19:– अगर सबब ऐसा है जो मुर्तफ़ा (ख़त्म) नहीं होता, तो सबब पर हल्फ़ देंगे। मसलन ग़ुलामे मुस्लिम ने मौला पर इत्क़ का दावा किया और मौला मुन्किर है उसे यह क़सम देंगे कि खुदा की क़सम उसे आज़ाद नहीं किया है। (हिदाया)

मसअ्ला.20:– मुद्दा'अलैह पर हल्फ़ दिया गया वह कहता है, इस मुआमले में एक मर्तबा मुझसे क़सम खिलवा चुका है। अगर वह पहला हल्फ़ किसी हाकिम या पंच के सामने हुआ है और अगर गवाहों से मुद्दा अ़लैह ने यह साबित कर दिया तो क़बूल करलिया जायेगा वरना मुद्दई जो इस हल्फ़ से मुन्किर है उसको क़सम खानी होगी और अगर मुद्दा अ़लैह यह कहता है कि मुद्दई ने मुझे इस दावे से बरी करदिया है और मुद्दई मुन्किर है और मुद्दा अ़लैह अपनी इस बात पर गवाह पेश नहीं करता बल्कि मुद्दई को हल्फ़ देना चाहता है तो इस पर हल्फ़ नहीं दिया जायेगा क्योंकि दावे का जवाब इक़रार या इन्कार है और यह जो इसने कहा, यह जवाब नहीं है और अगर मुद्दा अ़लैह यह कहता है कि मुद्दई ने मुझे माल से बरी करदिया है यानी मुआफ़ करदिया है, और गवाहों से साबित करदिया तो बरी होगया। मुद्दई का दावा साक़ित, वरना मुद्दई पर हल्फ़ दिया जायेगा वह क़सम खाये कि मैंने मुआफ़ नहीं किया तो मुतालबा दिलाया जायेगा क्योंकि मुआफ़ करना साबित नहीं हुआ, और माल बाजिब होने को खुद मुद्दा'अलैह ने मुआफ़ी का दावा करके तस्लीम करलिया और अगर क़सम से इन्कार करे तो दावा ख़ारिज। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.21:– मुद्दा अ़लैह पर हल्फ़ दिया गया वह कहता है मैंने यह हल्फ़ कर लिया है कि कभी क़सम नहीं खाऊँगा। अगर क़सम खाऊँ तो मेरी बीवी पर तलाक़। इस हल्फ़ की वजह से क़सम खाने से मजबूर हूँ। इस बात की तरफ़ क़ाज़ी इल्तिफ़ात न करेगा बल्कि तीन मर्तबा उसपर हल्फ़ पेश करेगा अगर क़सम नहीं खायेगा, उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला कर देगा। (दुर्रेमुख़्तार)

तहालुफ़ का बयान

"बाज़ ऐसी सूरतें हैं कि मुद्दई व मुद्दा'अलैह दोनों को क़सम खाना पड़ता है इसको तहालुफ़ कहते हैं"।

मसअ्ला.1:– बाइअ् व मुश्तरी में इख़्तिलाफ़ हुआ इसकी चन्द सूरतें हैं। **(1)मिक़दारे समन** में इख़्तिलाफ़ है। एक कहता है पाँच रूपया समन है' दूसरा कहता है 'दस रूपया है। **(2)वस्फ़े समन** में इख़्तिलाफ़ है। एक कहता है, कि इस किस्म का रूपया है 'दूसरा कहता है, इस क़िस्म का है। **(3)जिन्से समन** में इख़्तिलाफ़ है 'एक कहता है, रूपये से बैअ् हुई है 'दूसरा कहता है, अशर्फ़ी से। **(4)मिक़दारे मबीअ्** में इख़्तिलाफ़ है 'एक कहता है, मन भर गेहूँ, दूसरा कहता है, दो मन गेहूँ। इन तमाम सूरतों में हुक्म यह है कि जो अपने दावे को गवाहों से साबित कर देगा उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला होगा और अगर दोनों ने अपने अपने दावे को गवाहों से साबित किया तो उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला होगा जो ज़्यादती का दावा करता है और अगर फ़र्ज़ किया जाये कि बाइअ् कहता है 'दस रूपये में एक मन गेहूँ बेचे' और मुश्तरी कहता है कि पाँच रूपये में दो मन ख़रीदे और दोनों ने गवाह पेश किये तो यह फ़ैसला होगा कि दस रूपये मुश्तरी दे, और दो मन गेहूँ ले यानी बाइअ् ने समन ज़्यादा बताया जिसमें उसका बय्यिना (गवाह) मोअ्तबर और मुश्तरी ने मबीअ् ज़्यादा बताई इसमें उसके गवाह मोअ्तबर और अगर सूरत यह है कि दोनों गवाह पेश करने से आजिज़ हैं तो मुश्तरी से कहा जायेगा कि बाइअ् ने जो समन बताया है उसपर राज़ी होजा वरना बैअ् को फ़स्ख़ करदिया जायेगा और अगर बाइअ् से कहा जायेगा कि मुश्तरी जो कहता है उसे मानलो, वरना बैअ को

फ़स्ख़ करदिया जायेगा। अगर इनमें एक दूसरे की बात मान लेने पर राज़ी होजाये तो निज़ाअ् (झगड़ा)ख़त्म, और अगर दोनों में कोई भी इसके लिये तैयार नहीं तो दोनों पर हल्फ़ दिया जायेगा। (हिदाया)

मसअ्ला.2:– अगर रूपये अशर्फ़ी से बैअ् हुई तो पहले मुश्तरी को हल्फ़ देंगे इसके बाद बाइअ् को, और बैअ् मुक़ायज़ा है यानी दोनों तरफ़ मताअ् (सामान) है तो क़ाज़ी को इख़्तेयार है जिससे चाहे पहले क़सम ले, और जिससे चाहे पीछे। अगर क़सम से इन्कार कर दिया तो जो क़सम से इन्कार कर देगा दूसरे का दावा उसके ज़िम्मे लाज़िम कर दिया जायेगा और दोनों ने क़सम खाली तो बैअ् फ़स्ख़ करदी जायेगी कि क़तअ़े निज़ाअ् (झगड़ा ख़त्म करने) की कोई सूरत इसके सिवा नहीं है। (हिदाया)

मसअ्ला.3:– महज़ तहालुफ़ से बैअ् फ़स्ख़ नहीं होगी जब तक दोनों मुत्तफ़िक़ होकर फ़स्ख़ न करें, या उनमें से किसी के कहने से क़ाज़ी फ़स्ख़ न करदे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– तहालुफ़ उस वक़्त होगा जब मबीअ् मौजूद हो अगर हलाक होगई है तो तहालुफ़ नहीं बल्कि अगर बाइअ् के पास हलाक हुई तो बैअ् ही फ़स्ख़ होचुकी तहालुफ़ से क्या फ़ायदा और अगर मुश्तरी के यहाँ हलाक हुई तो मबीअ् में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं स्मन का झगड़ा है। गवाह नहीं हैं तो क़सम के साथ मुश्तरी का क़ौल मोअ्तबर है। यूँही अगर मबीअ् मिल्के मुश्तरी से ख़ारिज हो चुकी है या उसमें ऐसा ऐब पैदा हुआ कि अब वापस न होसके इस सूरत में भी सिर्फ़ मुश्तरी पर हल्फ़ है, या मबीअ् में कोई ऐसी ज़्यादती होगई कि रद के लिए मानेअ् हो ज़्यादते मुत्तिस़ला (ऐसी ज़्यादती जो मबीअ् से मिली हुई हो जैसे कपड़ा रंग देना) हो या मुन्फ़सि़ला (ऐसी ज़्यादती जो मबीअ् से जुदा हो जैसे जानवर का बच्चा जनना) तो तहालुफ़ नहीं हाँ अगर मबीअ् को बाइअ् के पास ग़ैर मुश्तरी ने हलाक किया हो तो इसकी क़ीमत मबीअ् के क़ायम मक़ाम है और इस सूरत में तहालुफ़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– बैअ् मुक़ायज़ा में दोनों चीजें मबीअ् हैं दोनों में से एक भी बाक़ी हो, तहालुफ़ होगा और दोनों जाती रहें, तहालुफ़ नहीं। (हिदाया)

मसअ्ला.6:– मबीअ् का एक हिस्सा हलाक होचुका या मिल्के मुश्तरी से ख़ारिज होगया मस्लन दो चीज़ें एक अक़्द में ख़रीदी थीं उनमें से एक हलाक होगयी इस सूरत में तहालुफ़ नहीं है हाँ अगर बाइअ् इस पर तैयार होजाये कि जो चीज़ें एक अक़्द में ख़रीदी थीं उनमें से एक हलाक होगई इस सूरत में तहालुफ़ नहीं है। हाँ अगर बाइअ् इस पर तैयार होजाये कि जो जुज़ मबीअ् (चीज़ का हिस्सा) का हलाक होगया इस पर तैयार होजाये उसके मुक़ाबिल में स्मन का जो हिस्सा मुश्तरी बताता है उसे तर्क करदे, तो तहालुफ़ है। (हिदाया)

मसअ्ला.7:– अगर मबीअ् पर मुश्तरी का क़ब्ज़ा नहीं हुआ है तो तहालुफ़ मुवाफ़िक़े क़ियास है कि ज़्यादते स्मन का दावा करता है और मुश्तरी मुन्किर है और मुन्किर पर हलफ़ है और मुश्तरी यह कहता है कि इतना स्मन लेकर तस्लीमे मबीअ् (बेची गई चीज़ हवाला करना) करना तुम पर वाजिब है और बाइअ् उसका मुन्किर है यानी दोनों मुन्किर हैं लिहाज़ा दोनों पर हलफ़ है और मबीअ् पर जब मुश्तरी ने क़ब्ज़ा कर लिया, तो अब मुश्तरी का कोई दावा नहीं, सिर्फ़ बाइअ् मुददई है और मुश्तरी मुन्किर, इस सूरत में तहालुफ़ ख़िलाफ़े क़ियास है मगर हदीस् से तहालुफ़ इस सूरत में भी साबित है। लिहाज़ा हम हदीस् पर अमल करते हैं और क़ियास को छोड़ते हैं। (हिदाया)

मसअ्ला.8:– तहालुफ़ का तरीक़ा यह है कि मस्लन बाइअ् यह क़सम खाये, वल्लाह मैंने इसे एक हज़ार रूपये में नहीं बेचा है और मुश्तरी क़सम खाये, कि वल्लाह मैंने इसे दो हज़ार में नहीं ख़रीदा है और बाज़ उलमा नफ़ी व इस्बात दोनों को बतौर ताकीद जमा करते हैं। मस्लन बाइअ् कहे वल्लाह मैंने इसे एक हज़ार में नहीं बेचा है बल्कि दो हज़ार में बेचा है। और मुश्तरी कहे वल्लाह मैंने इसे दो हज़ार में नहीं ख़रीदा है बल्कि एक हज़ार में ख़रीदा है मगर पहली सूरत ठीक है क्योंकि यमीन इस्बात के लिये नहीं, (क़सम सुबूत के लिये नहीं) बल्कि नफ़ी के लिये है। (हिदाया)

मसअ्ला.9:– तहालुफ़ उस वक़्त है कि बदल में इख़्तिलाफ़ मक़सूद हो और अगर स्मन में

इख़्तिलाफ़ ज़िमनी तौर पर हो तो तहालुफ़ नहीं मसलन एक शख़्स ने रूपया सेर के हिसाब से घी बेचा, और बर्तन समीत तोल दिया कि घी ख़ाली करने के बाद फिर बर्तन तोल लिया जायेगा जो बर्तन का वज़न होगा, मिन्हा (अलग) कर दिया जायेगा। उस वक़्त घी बर्तन समीत दस सेर हुआ, मुश्तरी बर्तन ख़ाली करके लाता है। बाइअ् कहता है यह बर्तन मेरा नहीं, यह तो दो सेर वज़न का है और मेरा सेर भर वज़न का था। नतीजा यह हुआ, कि बाइअ् नौ सेर घी के दाम मांगता है। मुश्तरी आठ सेर के दाम अपने ऊपर वाजिब बताता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– स्मन या मबीअ् के सिवा किसी दूसरी चीज़ में इख़्तिलाफ़ हो तो तहालुफ़ नहीं। मुश्तरी यह कहता है कि स्मन के लिये मीआद थी, और बाइअ् कहता है न थी, बाइअ् मुन्किर है। उसी का क़ौल क़सम के साथ मोअ्तअबर है या स्मन की मीआद है मगर बाइअ् कहता है, यह शर्त थी कि कोई चीज़ मुश्तरी रहन (गिरवी) रखेगा। मुश्तरी इन्कार करता है या एक ख़्यारे शर्त का मुद्दई है, दूसरा मुन्किर है, या स्मन के लिये ज़ामिन की शर्त थी, या न थी, या स्मन या मबीअ् के क़ब्ज़ा में इख़्तिलाफ़ है, या स्मन के मुआफ़ करने या उसका कोई जुज़ कम करने में इख़्तिलाफ़ है, या मुस्लिम फ़ीह की जाये तस्लीम में इख़्तिलाफ़ है इन सब सूरतों में मुन्किर पर हल्फ़ है और हल्फ़ के साथ उसी का क़ौल मोअ्तअबर। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– नफ़्से अक़्दे बैअ् में इख़्तिलाफ़ है एक कहता है बैअ् हुई है, दूसरा कहता है नहीं हुई। इसमें तहालुफ़ नहीं बल्कि जो मुन्किर है उसी का क़ौल क़सम के साथ मोअ्तबर है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– जिन्से स्मन का इख़्तिलाफ़, अगरचे मबीअ् के हलाक होने के बाद हो एक कहता है स्मन रूपया है दूसरा अशर्फ़ी बताता है इसमें तहालुफ़ है और दोनों क़सम खाजायें तो मुश्तरी पर मबीअ् की वाजिबी क़ीमत लाज़िम होगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.13:– बाइअ् कहता है 'यह चीज़ मैंने तुम्हारे हाथ सौ रूपये में बैअ् की है' जिसकी मीआद दस माह है यूंकि हर माह में दस रूपये दो और मुश्तरी यह कहता है 'मैंने यह चीज़ तुमसे पचास रूपये में ख़रीदी है ढाई रूपये माहवार मुझे अदा करने हैं'। यूंही कुल मीआद बीस माह है। दोनों ने गवाह पेश करदिये इस सूरत में दोनों शहादतें मक़बूल हैं। छः माह तक बाइअ् मुश्तरी से दस रूपये माहवार वसूल करेगा और सातवें महीने में साढ़े सात रूपये, इसके बाद हर माह में ढाई रूपये यहाँ तक कि सौ रूपये की पूरी रक़म अदा होजाये। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.14:– बैअ् सलम में इक़ाला करने के बाद रासुल'माल की मिक़दार में इख़्तिलाफ़ हुआ। इस सूरत में तहालुफ़ नहीं है क्योंकि यहाँ सिर्फ़ रब्बुस्सलम मुद्दई है और मुसल्लम इलैह मुन्किर। जो कुछ मुसल्लम इलैह कहता है उसी का क़ौल क़सम के साथ मोअ्तबर है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.15:– बैअ् में इक़ाला के बाद स्मन की मिक़दार में इख़्तिलाफ़ हुआ। मसलन मुश्तरी एक हज़ार बताता है और बाइअ् पाँचसौ कहता है और दोनों के पास गवाह नहीं, दोनों पर हल्फ़ दिया जाये। अगर दोनों क़सम खाजायें इक़ाला को फ़स्ख़ किया जाये। अब पहली बैअ् लौट आयेगी। यह हुक्म उस वक़्त है कि बैअ् का इक़ाला होचुका है मगर अभी तक मबीअ् पर मुश्तरी का क़ब्ज़ा है। अब तक उसने वापस नहीं की है और अगर इक़ाला के बाद मुश्तरी ने मबीअ् वापस करदी इसके बाद स्मन की कमी व बेशी में इख़्तिलाफ़ हुआ तो तहालुफ़ नहीं बल्कि बाइअ् पर हल्फ़ होगा कि यही स्मन कम बताता है और ज़्यादती का मुन्किर है। (बहरुर्राइक़, हिदाया)

मसअ्ला.16:– ज़ौजैन (मियाँ, बीवी) में महर की कमी व बेशी में इख़्तिलाफ़ हुआ या इसमें इख़्तिलाफ़ हुआ कि वह किस जिन्स का था। दोनों में जो गवाह पेश करे उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला होगा दोनों ने गवाहों से साबित किया तो देखा जायेगा कि महरे मिस्ल किसकी ताईद करता है मर्द की या औरत की मसलन मर्द यह कहता है कि महर एक हज़ार था और औरत दो हज़ार बताती है तो अगर महरे मिस्ल शौहर की ताईद में है यानी एक हज़ार या कम, तो औरत के गवाह मोअ्तबर और

महरे मिस्ल औरत की ताईद करता है यानी दो हज़ार या ज़्यादा तो शौहर के गवाह मोअ्तबर और अगर महरे मिस्ल किसी की ताईद में न हो बल्कि दोनों के माबैन हो मसलन डेढ़ हजार दोनों के गवाह बेकार और महरे मिस्ल दिलाया जाये और अगर दोनों में किसी के पास गवाह नहीं तो तहालुफ़ है और फ़र्ज करो दोनों ने क़सम खाली तो उसकी वजह से निकाह फ़स्ख़ नहीं होगा बल्कि यह क़रार पायेगा कि निकाह में कोई महर मुक़र्रर नहीं हुआ और उसकी वजह से निकाह बातिल नहीं होता ब'ख़िलाफ़ बैअ् के वहाँ समन के न होने से बैअ् नहीं रह सकती। लिहाज़ा फ़स्ख़ करना पढ़ता है तहालुफ़ की सूरत में पहले कौन क़सम खाये इसमें इख़्तिलाफ़ है। बाज़ कहते हैं बेहतर यह है, कि कुर्आ डाला जाये जिसका नाम निकले, वह ही पहले क़सम खाये और बाज़ यह कहते हैं कि पहले शौहर पर हल्फ़ दिया जाये और जो नकूल (क़सम से इन्कार) करेगा उस पर दूसरे का दावा लाज़िम अगर दोनों ने क़सम खाली तो महर का मुसम्मा होना (मुक़र्रर होना) साबित नहीं हुआ और महरे मिस्ल को जिसके क़ौल की ताईद में पायेंगे उसी के मुवाफ़िक़ हुक्म देंगे यानी अगर महरे मिस्ल उतना है जितना शौहर कहता है, या उससे भी कम तो शौहर के क़ौल के मुवाफ़िक़ फ़ैसला होगा और अगर महरे मिस्ल उतना है, जितना औरत कहती है, या उससे भी ज़्यादा तो औरत जो कहती है उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला किया जाये और अगर महरे मिस्ल दोनों के दरम्यान में हो तो महरे मिस्ल का हुक्म दिया जाये। (हिदाया, बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– मूजिर (उजरत पर देने वाला) और मुस्ताजिर (उजरत पर लेने वाला) की उजरत में इख़्तिलाफ़ है या मुद्दते इजारा के मुताल्लिक इख़्तिलाफ़ है अगर यह इख़्तिलाफ़ मनफ़अ़त (फ़ायदा) हासिल करने से पहले है और किसी के पास गवाह न हों तो तहालुफ़ है क्योंकि इस सूरत में हर एक मुद्दई है, और हर एक मुन्किर है और अगर दोनों क़सम खाजायें तो इजारा फ़स्ख़ कर दिया जाये। अगर उजरत की मिक़दार में इख़्तिलाफ़ है तो मुस्ताजिर से पहले क़सम खिलायी जाये और मुद्दत में इख़्तिलाफ़ है तो मूजिर (उजरत पर देने वाला) पहले क़सम खाये और अगर दोनों के पास गवाह हों तो उज़रत में मूजिर के गवाह मोअ्तबर हैं और मुद्दत के मुताल्लिक़ मुस्ताजिर के गवाह मोअ्तबर, और अगर मुद्दत व उजरत दोनों में इख़्तिलाफ़ हो और दोनों ने गवाह पेश किये तो मुद्दत के बारे में मुस्ताजिर के गवाह मोअ्तबर, और उजरत के मुताल्लिक़ मूजिर के मोअ्तबर और अगर यह इख़्तिलाफ़ मनफ़अ़त (फ़ायदा) हासिल करने के बाद है तो तहालुफ़ नहीं बल्कि गवाह न होने की सूरत में मुस्ताजिर पर हलफ़ दिया जाये और क़सम के साथ उसी का क़ौल मोअ्तबर, और अगर कुछ थोड़ी सी मनफ़अ़त हासिल करली है कुछ बाक़ी है मसलन अभी पन्द्रह ही दिन मकान में रहते हुए गुज़रे हैं और इख़्तिलाफ़ हुआ कि किराया क्या है, पाँच रूपये है, या दस रूपये, या मीआ़द क्या है। एक माह या दो माह इस सूरत में तहालुफ़ है। अगर दोनों क़सम खा जायें, तो जो मुद्दत बाक़ी है उसका इजारा फ़स्ख़ कर दिया जाये और अगर गुज़श्ता के बारे में मुस्ताजिर के क़ौल के मुवाफ़िक़ फ़ैसला हो। (हिदाया)

मसअ्ला.18:– इजारा में मनफ़अ़त(फ़ायदा)हासिल करने का यह मतलब है कि उस मुद्दत में मुस्ताजिर तहसीले मनफ़अ़त (फ़ायदा हासिल करने) पर क़ादिर हो मसलन इजारा पर दिया, और मुस्ताजिर को सिपुर्द कर दिया, क़ब्ज़ा देदिया तो जितने दिन गुज़रेंगे किराया वाजिब होता जायेगा। और मनफ़अ़त हासिल करना क़रार दिया जायेगा मुस्ताजिर उसमें रहे या न रहे और अगर क़ब्ज़ा नहीं दिया, तो मनफ़अ़त हासिल नहीं हुई इस तरह कितना ही ज़माना गुज़र जाये किराया वाजिब नहीं। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.19:– दो शख़्सों ने एक चीज़ के मुताल्लिक़ दावा किया एक कहता है 'मैंने इजारा पर ली है, दूसरा कहता है 'मैंने ख़रीदी है। अगर मुद्दा अ़लैह ने मुस्ताजिर के मुवाफ़िक़ इक़रार किया, तो ख़रीदार उसको हल्फ़ दे सकता है, और अगर दोनों इजारा ही का दावा करते हैं और मुद्दा अ़लैह ने एक के लिये इक़रार कर दिया, तो दूसरा हल्फ़ नहीं दे सकता। (बहरुर्राइक़)

मसअला.20:– मियाँ बीवी के माबैन सामाने ख़ानादारी(घर के सामान)में इख़्तिलाफ़ हुआ, और गवाह नहीं हैं कि शौहर की मिल्क साबित हो, या ज़ौजा की तो जो चीज़ मर्द के लिये ख़ास है जैसे इमामा, छड़ी उसके मुताल्लिक़ क़सम के साथ मर्द का क़ौल मोअ्तबर है और जो चीजें औरत के लिये मख़्सूस हैं जैसे ज़नाने कपड़े और वह ख़ास चीजें जो औरतों ही के इस्तेमाल में आती हैं उनके मुताल्लिक़ क़सम के साथ औरत का क़ौल मोअ्तबर है और जो चीज़ें दोनों के काम की हैं जैसे लोटा, कटोरा, और इस्तेमाल के दीगर ज़ुरूफ़(बर्तन)उनमें भी मर्द का ही क़ौल मोअ्तबर है और अगर दोनों ने गवाह क़ायम किये तो उन चीजों के बारे में औरत के गवाह मोअ्तबर हैं और अगर घर के ही मुताल्लिक़ इख़्तिलाफ़ है मर्द कहता है, मेरा है औरत कहती है, मेरा है उसके मुताल्लिक़ शौहर का क़ौल मोअ्तबर है हाँ अगर औरत के पास गवाह हों तो वह औरत ही का माना जायेगा यह ज़न व शौहर का इख़्तिलाफ़ और उसका यह हुक्म उस सूरत में है कि दोनों ज़िन्दा हों और अगर एक ज़िन्दा है, और एक मर चुका है उसके वारिस् ने ज़िन्दा के साथ इख़्तिलाफ़ किया तो जो चीज दोनों के काम की हैं उसके मुताल्लिक़ उसका क़ौल मोअ्तबर होगा जो ज़िन्दा है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.21:– मकान में जो सामान ऐसा है कि औरत के लिए ख़ास है मगर मर्द उसकी तिजारत करता है, या बनाता है तो वह सामान मर्द का है या चीज़ मर्द ही के काम की है मगर औरत उसकी तिजारत करती है, या वह खुद बनाती है वह सामान औरत का है। (बहर)

मसअ्ला.22:– ज़ौजैन का इख़्तिलाफ़ हालते बकाए निकाह (निकाह के बाकी होने की हालत) में हो, या फुरक़त (जुदाई) के बाद दोनों का एक हुक्म है। यूंही जिस मकान में सामान है वह ज़ौज (शौहर) की मिल्क हो, या ज़ौजा की, या दोनों की सबका एक ही हुक्म है, और इख़्तिलाफ़ात का लिहाज़ उस वक़्त होगा जब औरत ने यह न कहा हो कि यह चीज़ शौहर ने ख़रीदी है। अगर उसके ख़रीदने का इक़रार करेगी तो शौहर की मिल्क का उसने इक़रार कर लिया। इसके बाद फिर औरत की मिल्क होने के लिये सुबूत दरकार है। (बहर)

मसअ्ला.23:– एक शख़्स की चन्द बीवियों में यही इख़्तिलाफ़ हुआ अगर वह सब एक घर में रहती हों तो सब बराबर की शरीक हैं और अगर अलग अलग मकानात में सुकूनत है तो एक के यहाँ जो चीज़ है उससे दूसरी को ताल्लुक़ नहीं बल्कि वह औरत घर वाली और ख़ाविन्द के माबैन वह ही हुक्म रखती है जो ऊपर ज़िक्र हुआ यूंही दूसरी औरतों के मकानात की चीजें उनमें और उस ख़ाविन्द के माबैन मज़कूरा तरीक़े पर दिलाई जायेंगी। (बहर)

मसअ्ला.24:– बाप और बेटे में इख़्तिलाफ़ हुआ। ख़ानादारी के सामान के मुताल्लिक़ हर एक अपनी मिल्क का दावा करता है। अगर बेटा बाप के यहाँ रहता, और खाता पीता है तो सब कुछ बाप का है, और अगर बाप बेटे के यहाँ रहता, और खाता पीता है तो सब चीजें बेटे की हैं। दो पेशे वाले एक मकान में रहते हैं और उन आलात (औजार) में इख़्तिलाफ़ हुआ जिन पर क़ब्ज़ा दोनो का है तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह औज़ार उसके पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं, इसके हैं और वह औज़ार उसके पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा उसके हैं बल्कि अगर मिल्क का सुबूत दोनों में से किसी के पास न हो, तो निस्फ़ निस्फ़ (आधा आधा) दोनों को देदिये जायें। (बहर)

मसअ्ला.25:– मालिक मकान और किरायेदार में सामान के मुताल्लिक़ इख़्तिलाफ़ हुआ इसमें किरायेदार की बात मोअ्तबर है कि मकान उसी के क़ब्ज़े में है जो चीज़ें मकान में हैं उन पर भी उसी का क़ब्ज़ा है। (बहर)

मसअ्ला.26:– औरत जिस रात को रुख़्सत होकर मैके से आई है, मरगई, तो उसके घर के तमाम सामान शौहर के लिये क़रार देना मुस्तहसन नहीं क्योंकि जब वह आज ही आई है तो ज़रूर हस्बे हैसियत पलंग, पीढ़ी, मेज़, कुर्सी, सन्दूक और ज़ुरूफ़ व फ़र्श वग़ैरहा कुछ न कुछ जहेज़ में लाई होगी जिसका तक़रीबन हर शहर में हर क़ौम और हर ख़ानदान में रिवाज है। (बहर)

मसअला.27:– जारूब कश (झाड़ू लगाने वाला) एक शख़्स के मकान में झाड़ू दे रहा है, एक मख़मली बेश क़ीमत चादर उसके कन्धे पर पड़ी है मालिक मकान कहता है 'यह चादर मेरी है' मगर वह जारूब कश कहता है, मेरी है, साहिबे ख़ाना का क़ौल मोअ्तबर है। दो शख़्स एक कश्ती में जा रहे हैं उस कश्ती में आटा है दोनों में से हर एक यह कहता है कि कश्ती भी मेरी है, और आटा भी मेरा है मगर उनमें एक शख़्स की निस्बत मशहूर है कि यह आटे की तिजारत करता है और दूसरे की निस्बत मशहूर है कि यह मल्लाह है तो आटा उसे दे दिया जाये जो आटे की तिजारत करता है और कश्ती मल्लाह को। (दुर्रेमुख़्तार)

किसको मुद्दा अलैहि बनाया जा सकता है और किसकी हाज़िरी ज़रूरी है।

मसअला.28:– ऐन मरहून (गिरवी रखी हुई चीज़) के मुताल्लिक़ दावा हो, तो राहिन व मुरतहिन दोनों का हाज़िर होना शर्त है आरियत व इजारा का भी यही हुक्म है, यानी मुस्तईर (आरिज़ी तौर पर किसी से इस्तेमाल के लिये कोई चीज़ लेने वाला) व मुईर (आरिज़ी तौर पर अपनी चीज़ इस्तेमाल के लिये देने वाला) व मुस्ताजिर (किरायेदार) व मूजिर (उजरत पर देने वाला) दोनों की हाज़िरी ज़रूरी है। खेत का दावा है जो इजारा में है अगर उसमें बीज मुज़ारेअ् (काश्तकार) के हैं तो उसका हाज़िर होना ज़रूरी है और बीज मालिक के हैं, और उग आये हैं जब भी मुज़ारेअ् की हाज़िरी ज़रूरी है और उगे न हों, तो काश्तकार की हाज़िरी ज़रूरी नहीं यह उस सूरत में है कि मिल्के मुतलक़ का दावा हो, और अगर यह दावा हो कि फ़ुलां ने मेरी ज़मीन ग़सब करली है और वह मुज़ारेअ् को देदी है तो मुज़ारेअ् से कोई ताल्लुक़ नहीं(आलमगीरी)

मसअला.29:– मकान को बैअ् कर दिया है मगर अभी बाइअ् ही के क़ब्ज़े में है मुस्तहिक़ दावा करता है कि यह मकान मेरा है उसका फ़ैसला बाइअ व मुश्तरी दोनों की मौजूदगी में होना ज़रूरी है। (आलमगीरी)

मसअला.30:– बैअ् फ़ासिद के साथ चीज़ ख़रीदी अगर मुश्तरी ने क़ब्ज़ा कर लिया है तो मुश्तरी मुद्दा'अलैह है और क़ब्ज़ा न किया हो तो मुद्दा'अलैह बाइअ् है। अगर मुश्तरी के लिये शर्ते ख़्यार है तो बाइअ् व मुश्तरी दोनों मुद्दा अलैह होंगे अगर बैअ् बातिल के साथ ख़रीदी है तो मुश्तरी को मुद्दा'अलैह नहीं बनाया जा सकता। (आलमगीरी)

मसअला.31:– यह दावा किया, कि यह मकान फ़ुलाँ शख़्स का था जो ग़ायब है उसने इसके हाथ बैअ् कर दिया जिसके क़ब्ज़े में है उसपर शुफ़ा का दावा करता हूँ। मुद्दा अलैह यानी जिसके क़ब्ज़े में है वह कहता है कि मकान मेरा ही है इसको मैंने किसी से नहीं ख़रीदा है जब तक बाइअ् हाज़िर न हो कुछ नहीं हो सकता। (आलमगीरी)

मसअला.32:– वकील ने मकान ख़रीदकर उस पर क़ब्ज़ा कर लिया अभी मुवक्किल को नहीं दिया है कि शुफ़ा का दावा हुआ, वकील ही के मुक़ाबिल में फ़ैसला होगा मुवक्किल की ज़रूरत नहीं, और अगर वकील ने क़ब्ज़ा नहीं किया है तो मुवक्किल की हाज़िरी ज़रूरी है। (आलमगीरी)

मसअला.33:– मकान ख़रीदा और अभी क़ब्ज़ा नहीं किया बाइअ् से किसी ने छीन लिया अगर मुश्तरी ने समन अदा कर दिया है, या समन अदा करने के लिये कोई मीआद मुक़र्रर है तो दावा मुश्तरी को करना होगा वरना बाइअ् को। (आलमगीरी)

मसअला.34:– माले मुज़ारबत पर इस्तेहक़ाक़ हुआ (किसी का हक़ साबित हुआ)। अगर इसमें नफ़ा है तो नफ़ा के बराबर मुद्दा'अलैह मुज़ारिब होगा वरना रब्बुल'माल। (आलमगीरी)।

दावा दफ़ा करने का बयान

दफ़ए दावा का मतलब यह है कि जिस पर दावा किया गया वह ऐसी सूरत पेश करता है जिससे वह मुद्दा'अलैह न बन सके लिहाजा उसपर से दफ़ा होजायेगा।

मसअला.1:– ज़ुलयद (जिसके क़ब्ज़े में वह चीज़ है जिसका मुद्दई ने दावा किया है) वह यह कहता है कि यह चीज़ जो मेरे पास है उसपर मेरा क़ब्ज़ा मालिकाना नहीं है बल्कि ज़ैद ने मेरे पास अमानत रखी

है, या आरियत के तौर पर दी है, या किराये पर दी है, या मेरे पास रहन रखी है, या मैंने गसब की है और जैद जिसका नाम मुद्दा अलैह ने लिया गायब है, यानी उसका पता नहीं कि कहाँ गया है, या इतनी दूर चला गया है कि उस तक पहुँचना दुश्वार है या ऐसी जगह चला गया है जो नज़दीक है बहर हाल अगर मुद्दा अलैह अपनी इस बात को गवाहों से साबित करदे तो मुद्दई का दावा दफा होजायेगा। जब कि मुद्दई ने मिल्के मुतलक का दावा किया हो यूंही अगर मुद्दा अलैह इस बात का सुबूत देदे कि खुद मुद्दई ने मिल्के जैद का इकरार किया है तो दावा ख़ारिज होजायेगा और इसमें यह शर्त भी है कि जिस चीज का दावा हो वह मौजूद हो, हलाक न हुई हो, और यह भी शर्त है कि गवाह उस शख्से गायब को नाम व नसब के साथ जानते हों और उसकी शनाख्त भी रखते हों। यह कहते हों कि अगर वह हमारे सामने आये तो हम पहचान लेंगे। (हिदाया, दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.2:– अगर मुद्दा अलैह ने इस शख्से गायब की ताईन (निशान दिही) नहीं की है फ़कत यह कहता है कि एक शख्स ने मेरे पास अमानत रखी है जिसका नाम व नसब कुछ नहीं बताता तो उस कहने से दावे से बरी नहीं होगा। (दुर्रेमुख्तार) इमाम अबू युसूफ रह'मतुल्लाहि तआला यह भी कहते हैं कि मुद्दा अलैह दावे से उस वक्त बरी होगा कि वह हीला साज़ और चाल बाज़ (धोके बाज) शख्स न हो ऐसा होगा, तो दावा दफा नहीं होगा इस लिये चालबाज आदमी यह कर सकता है कि किसी की चीज गसब करके छुपाकर किसी परदेसी आदमी को देदे और यह कहदे कि फुलाँ वक्त मेरे पास यह चीज लेकर आना और लोगों के सामने यह कह देना कि यह मेरी चीज़ अमानत रखलो उसने वक्ते मुअय्यन पर मोअ्तबर आदमियो को किसी हीले, बहाने से अपने यहाँ बुला लिया उस शख्स ने उनके सामने अमानत रखदी और अपना नाम व नसब भी बता दिया, और चला गया। अब जब कि मालिक ने दावा किया तो उस शख्स ने कह दिया कि फुलाँ गायब ने अमानत रखी है, और उन लोगों को गवाही में पेश कर दिया, मुकदमा खत्म होगया। अब वह न परदेसी आयेगा, न चीज का कोई मुतालबा करेगा। पराया माल हज्म कर लिया जायेगा लिहाजा ऐसे हीला बाज आदमी की बात काबिले एअ्तिबार नही न उससे दावा दफा हो। इस कौले इमाम अबू युसूफ को बाज फुकहा ने इख्तेयार किया है। (हिदाया, दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.3:– मुद्दा अलैह यह बयान करता है कि जिसकी चीज है उसने इसको मेरी हिफाजत में दिया है जिसका मकान है उसने मुझे इसमें रखा है, या मैंने उससे यह चीज छीनली है, या चुराली है, या वह भूलकर चला गया, या मैंने उठाली है, या यह खेत उसने मुझे मुजारअत पर दिया है। इन सूरतों का भी यह ही हुक्म है कि गवाहों से साबित करदे तो दावा दफा होजायेगा। (दुर्रेमुख्तार)

मसअला.4:– अगर वह चीज हलाक होगई है, या गवाह यह कहते हैं कि हम उस शख्स को पहचानते नहीं, या खुद जुलयद ने ऐसा इकरार किया जिसकी वजह से वह मुद्दा अलैह बन सकता है मसलन कहता है मैंने फुलां शख्स से खरीदी है, या उस गायब ने मुझे हिबा की है, या मुद्दई ने इस पर मिल्के मुतलक का दावा ही नहीं किया है बल्कि उसके किसी फेल (काम) का दावा है। मसलन उस शख्स ने मेरी यह चीज गसब करली है, या यह चीज मेरी चोरी होगई यह नहीं कहता कि उसने चुराई ताकि पर्दा पोशी रहे अगरचे मकसूद यही है कि उसने चुराई है और इन सब सूरतों मे जुलयद यह जवाब देता है कि फुलाँ गायब ने मेरे पास अमानत रखी है वगैरा वगैरा तो मुद्दई का दावा इस बयान से दफा नहीं होगा और अगर मुद्दई ने गसब में यह कहा कि यह चीज मुझसे गसब की गई है यह नहीं कहता कि उसने गसब की है तो दावा दफा होगा क्योंकि इस सूरत मे हद नही है कि पर्दा पोशी और उस पर से हद दफा करने के लिये इबारत मे यह किनाया इख्तेयार किया है। (दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.5:– मुद्दा अलैह कचहरी से बाहर यह कहता था कि मेरी मिल्क है, और कचहरी मे यह कहता है कि मेरे पास फुलाँ की अमानत है, या उसने रहन रखा है, और उस पर गवाह पेश करता है दावा दफा होजायेगा मगर जब कि मुद्दई गवाहों से यह साबित करदे कि उसने खुद अपनी

मिल्क का इक़रार किया है तो दावा दफ़ा न होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.6:– मुद्दई ने दावा किया कि यह चीज़ मेरी है इसको मैंने फ़ुलाँ शख़्से ग़ायब से ख़रीदा है मुद्दा'अलैह ने जवाब में कहा उसी ग़ायब ने ख़ुद मेरे पास अमानत रखी है तो दावा दफ़ा हो जायेगा अगरचे मुद्दा अ़लैह अपनी बात पर गवाह भी पेश न करे, और अगर मुद्दा'अ़लैह ने उसके ख़ुद अमानत रखने को नहीं कहा बल्कि यह कहा, उसके वकील ने मेरे पास अमानत रखी है तो बिग़ैर गवाहों से साबित किये, दावा दफ़ा नहीं होगा और अगर मुद्दई यह कहता है कि उस ग़ायब से मैंने ख़रीदी, और उसने मुझे क़ब्ज़े का वकील किया है मुद्दई के ख़रीदने का इक़रार किया। उसने गवाहों से साबित नहीं किया तो दे देने का हुक्म नहीं दिया जायेगा। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.7:– दावा किया कि चीज़ मेरी है फ़ुलाँ ग़ायब ने उसको ग़सब कर लिया, और उसको गवाहों से साबित किया और मुद्दा अ़लैह यह कहता है उसी ग़ायब शख़्स ने मेरे पास अमानत रखी है दावा दफ़ा होजायेगा, और अगर ग़सब की जगह मुद्दई ने चोरी कहा, और मुद्दा अ़लैह ने वह ही जवाब दिया, दावा दफ़ा नहीं होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.8:– एक शख़्स ने अपनी बहन के यहाँ से कोई चीज़ लेजाकर रहन रख दी, और ग़ायब होगया उसकी बहन ने ज़ुलयद पर दावा किया उसने जवाब दिया कि फ़ुलाँ ने मेरे पास रहन रखी है। अगर औ़रत ने अपने भाई के ग़सब करने का दावा किया, और ज़ुलयद ने गवाहों से रहन साबित कर दिया। दावा दफ़ा है और अगर चोरी का दावा किया है, दफ़ा नहीं होगा। (बहर)

मसअला.9:– मुद्दई कहता है यह चीज़ फ़ुलाँ शख़्स ने मुझे किराये पर दी है मुद्दा अ़लैह भी यही कहता है मुझे किराये पर दी है। पहला शख़्स दूसरे पर दावा नहीं कर सकता और अगर मुद्दई ने रहन या ख़रीदने का दावा किया, और मुद्दा'अ़लैह कहता है 'मेरे किराये में है' जब भी इस पर दावा नहीं हो सकता, और अगर मुद्दई ने रहन या इजारा ख़रीदने का दावा किया, और मुद्दा' अ़लैह कहता है मैंने ख़रीदी है तो इस पर दावा होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.10:– मुद्दा'अ़लैह यह कहता है इस दावा का मैं मुद्दा'अ़लैह नहीं बन सकता मैं इसको दफ़ा करूँगा मुझे मोहलत दी जाये इसको इतनी मोहलत दी जायेगी कि दूसरी नशिस्त में इसको साबित कर सके। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.11:– दावा किया कि यह मकान जो ज़ैद के क़ब्ज़े में है मैंने अ़म्र से ख़रीदा है ज़ैद ने जवाब दिया कि मैंने ख़ुद इसी मुद्दई से इस मकान को ख़रीदा है मुद्दई कहता है कि हमारे माबैन जो बैअ़ हुई थी उसका इक़ाला होगया। उससे दावा दफ़ा होजायेगा। (आ़लमगीरी)

मसअला.12:– मुद्दा'अ़लैह ने जवाब दिया कि तूने ख़ुद इक़रार किया है कि यह चीज़ मुद्दा'अ़लैह के हाथ बैअ़ करदी है। अगर उसे गवाहों से साबित करदे, या ब'सूरत गवाह न होने के मुद्दई पर हलफ़ दिया उसने इन्कार किया दावा दफ़ा होजायेगा। (आ़लमगीरी)

मसअला.13:– औ़रत ने वुरसाए शौहर पर मीरास् व महर का दावा किया। उन्होंने जवाब में कहा मूरिस् ने अपने मरने से दो साल पहले इसे ह़राम कर दिया था। औ़रत ने उसके दफ़ा करने के लिए साबित किया कि शौहर ने मरज़ुल'मौत में मेरे ह़लाल होने का इक़रार किया है वुरसा की बात दफ़ा होजायेगी। (आ़लमगीरी)

मसअला.14:– औ़रत ने शौहर के बेटे पर मीरास् का दावा किया बेटे ने इन्कार कर दिया इसकी दो सूरतें हैं एक यह कि बिल्कुल बाप की मनकूह़ा होने से इन्कार करदे। कभी उसके बाप ने निकाह किया ही न था दोम यह कि मरने के वक़्त यह उसकी मनकूह़ा न थी औ़रत ने गवाहों से अपना मनकूह़ा होना साबित किया और बेटे ने यह गवाह पेश किये कि उसके बाप ने तीन तलाक़ें देदी थीं और मरने से पहले इद्दत भी ख़त्म हो चुकी थी अगर पहली सूरत में लड़के ने यह जवाब दिया है तो उसके गवाह मक़बूल नहीं कि पहले क़ौल से मुतनाक़िज़ (टकराव) है, और दूसरी सूरत में

यह गवाह पेश किये तो लड़के के गवाह मक़बूल हैं। (ख़ानिया)
मसअ्ला.15:– दावा किया कि मेरे बाप का तुम पर इतना चाहिए उनका इन्तिक़ाल हुआ और तन्हा मुझे वारिस् छोड़ा लिहाज़ा वह माल मुझे देदो मुद्दा'अ़लैह ने कहा, तुम्हारे बाप का जो कुछ चाहिए था वह उस वजह से था कि मैंने उसके लिए फ़ुलाँ की तरफ़ से किफ़ालत की थी, और मकफ़ूल अन्हु (जिस पर मुतालबा है) ने तुम्हारे बाप की जिन्दगी में उसे दैन अदा कर दिया। मुद्दई ने यह तस्लीम किया कि उससे मुतालबा ब'हुक्मे किफ़ालत है मगर यह कि मकफ़ूल अ़न्हु ने अदा कर दिया तस्लीम नहीं। लिहाज़ा इस सूरत में अगर मुद्दा'अ़लैह इसको गवाह से साबित कर देगा। दावा दफ़ा होजायेगा यूंही अगर मुद्दा'अ़लैह ने यह कहा, कि तुम्हारे वालिद ने मुझे किफ़ालत से बरी कर दिया था या उसके मरने के बाद तुमने बरी कर दिया था, और इसको गवाह से साबित कर दिया दावा दफ़ा होगया। (आलमगीरी)
मसअ्ला.16:– यह दावा किया कि मेरे बाप के तुम पर सौ रूपये हैं वह मरगये तन्हा मैं वारिस् हूँ। मुद्दा'अ़लैह ने कहा, तुम्हारे बाप को मैंने फ़ुलाँ पर हवाला कर दिया और मोहताल'अ़लैह (जिस पर हवाला किया गया है) भी तस्दीक करता है। ख़ुसूमत मुन्दफ़ेअ् न होगी (मुक़द्दमा ख़त्म न होगा) जब तक हवाला को गवाहों से साबित न करे। (आलमगीरी)
मसअ्ला.17:– सौतेली माँ पर दावा किया कि यह मकान जो तुम्हारे क़ब्ज़े में है मेरे बाप का तर्का है। औरत ने जवाब दिया कि हाँ तुम्हारे बाप का तर्का है मगर क़ाज़ी ने इस मकान को मेरे महर के बदले मेरे हाथ बैअ् कर दिया तुम उस वक़्त छोटे थे तुम्हें ख़बर नहीं। अगर औरत यह बात गवाहों से साबित कर देगी दावा दफ़ा होजायेगा। (आलमगीरी)
मसअ्ला.18:– एक भाई ने दूसरे पर दावा किया कि यह मकान जो तुम्हारे क़ब्ज़े में है उसमें मैं भी शरीक हूँ क्योंकि यह हमारे बाप की मीरास् है दूसरे ने जवाब दिया कि यह मकान मेरा है हमारे बाप का इसमें कुछ न था उसके बाद मुद्दा'अ़लैह ने यह दावा किया कि यह मकान मैंने अपने बाप से ख़रीदा है, या मेरे बाप ने इस मकान का मेरे लिये इक़रार किया था यह दावा सही है, और इस पर गवाह पेश करेगा मक़बूल होंगे, और अगर भाई के जवाब में यह कहा था कि यह हमारे बाप का कभी न था, या यह कि इसमें बाप का कोई हक़ कभी न था। फिर वह दावा किया तो न दावा मसमूअ़, (दावा न सुना जायेगा) न उस पर गवाह मक़बूल। (आलमगीरी जि.4,स.53)

जवाबे दावा

मसअ्ला.1:– एक शख़्स ने दूसरे पर दावा किया कि यह चीज़ जो तुम्हारे पास है, मेरी है। मुद्दा'अ़लैह ने कहा, मैं देखूँगा, ग़ौर करूँगा यह जवाब नहीं है। जवाब देने पर मजबूर किया जायेगा। यूंही अगर यह कहा, मुझे मालूम नहीं, या यह कहा, मालूम नहीं मेरी है, या नहीं, या कहा, मालूम नहीं मुद्दई की मिल्क है, या नहीं इन सब सूरतों में दावा का जवाब नहीं हुआ। जवाब देने पर मजबूर किया जायेगा और ठीक जवाब न दे तो उसे मुन्किर क़रार दिया जायेगा। (आलमगीरी)
मसअ्ला.2:– जायदाद का दावा किया। मुद्दा'अ़लैह ने जवाब दिया इस जायदाद में मिन्जुमला तीन सिहाम (तीन हिस्से) दो सिहाम मेरे हैं जो मेरे क़ब्जे में हैं, और एक सिहाम फ़ुलाँ ग़ायब की मिल्क है जो मेरे हाथ में अमानत है। मुद्दा'अ़लैह का यह जवाब मुकम्मल है मगर ख़ुसूमत उस वक़्त दफ़ा होगी कि एक सिहाम का अमानत होना, गवाह से साबित करदे। (आलमगीरी)
मसअ्ला.3:– मकान का दावा किया कि यह मेरा है मुद्दा अ़लैह ने ग़सब कर लिया है। मुद्दा अ़लैह ने कहा कि यह पूरा मकान मेरे हाथ में ब'वजहे शरई है। मुद्दई को हरगिज़ नहीं दूँगा यह जवाब ग़सब के मुक़ाबिल में पूरा है कि ग़सब का इन्कार है मगर मिल्क के मुताल्लिक़ ना'काफ़ी है(आलमगीरी)
मसअ्ला.4:– मकान का दावा था मुद्दा अ़लैह ने कहा, मकान मेरा है फिर कहा, वक़्फ़ है या यूँ कहा, कि यह मकान वक़्फ़ है और ब'हैसियत मुतवल्ली मेरे हाथ में है यह मुकम्मल जवाब है और मुद्दा'अ़लैह को गवाहों से वक़्फ़ साबित करना होगा। (आलमगीरी)

दो शख़्सों के दावा करने का बयान

कभी ऐसा होता है कि एक चीज़ के दो हक़दार एक शख़्स (यानी जुलयद) के मुक़ाबिल में खड़े हो जाते हैं हर एक अपना हक़ साबित करता है यह बात पहले बताई गई है कि ख़ारिज के गवाह को जुलयद के गवाह पर तरजीह है मगर जब कि जुलयद के गवाहों ने वह वक़्त बयान किया जो ख़ारिज के वक़्त से मुक़द्दम है तो जुलयद के गवाह को तरजीह होगी मगर बाज़ सूरतें ब'ज़ाहिर ऐसी हैं कि मालूम होता है जुलयद की तारीख़ मुक़द्दम है, और ग़ौर करने से मालूम होता है कि मुक़द्दम नहीं मस्लन किसी ने दावा किया कि यह चीज़ मेरी है मुद्दई के गवाहों को तरजीह होगी, और उसी के मुवाफ़िक़ फ़ैसला होगा क्योंकि मुद्दई ने मिल्क की तारीख़ नहीं बयान की है। ताकि जुलयद के गवाहों को तरजीह दीजाये बल्कि ग़ायब होने की तारीख़ बताई है हो सकता है कि मिल्के मुद्दई की तारीख़ एक साल से ज़्यादा की हो। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.1:– हर एक यह कहता है कि यह चीज़ मेरे क़ब्ज़े में है अगर एक ने गवाहों से अपना क़ब्ज़ा साबित कर दिया तो वही क़ाबिज़ माना जायेगा दूसरा ख़ारिज क़रार दिया जायेगा फिर वह शख़्स जिसको क़ाबिज़ क़रार दिया गया अगर गवाहों से अपनी मिल्के मुतलक़ साबित करना चाहेगा मक़बूल न होंगे कि मिल्के मुतलक़ में जुलयद के गवाह मोअ्तबर नहीं, और अगर क़ब्ज़ा के गवाह पेश करे तो हलफ़ किसी पर नहीं। (बहर)

मसअ्ला.2:– एक शख़्स ने दूसरे से चीज़ छीन ली, जब उससे पूछा गया, तो कहने लगा मैंने इस लिये लेली है कि यह चीज़ मेरी थी और गवाहों से अपनी मिल्क साबित की, यह गवाह मक़बूल हैं कि अगरचे उस वक़्त यह जुलयद है मगर हक़ीक़त में जुलयद न था बल्कि ख़ारिज था उससे ले लेने के बाद जुलयद हुआ। (बहर)

मसअ्ला.3:– एक शख़्स ने ज़मीन छीनकर, उस में ज़राअ्त बोई, दूसरे शख़्स ने दावा किया कि यह ज़मीन मेरी है उसने ग़सब करली अगर गवाहों से उसका ग़सब करना साबित करेगा जुलयद यह होगा और खेत बोने वाला ख़ारिज़ क़रार पायेगा अगर उसका क़ब्ज़ाए जदीद नहीं साबित करेगा तो जुलयद वह ही बोने वाला ठहरेगा। इन मसाइल से यह बात मालूम हुई कि ज़ाहिरी क़ब्ज़ा के ऐअ्तिबार से जुलयद नहीं होता। (बहर)

मसअ्ला.4:– दो शख़्सों ने एक मोअ्य्यन (ख़ास) चीज़ के मुताल्लिक़, जो तीसरे के क़ब्ज़े में है दावा किया हर एक उस शय को अपनी मिल्क बताता है, और सबबे मिल्क कुछ नहीं बयान करता, और न तारीख़ बयान करता है, और अपने दावे को हर एक ने गवाहों से साबित करदिया वह चीज़ दोनों को निस्फ़ निस्फ़ दिलादी जायेगी क्योंकि किसी को तरजीह नहीं है। (दुर्रेमुख़्तार, वग़ैरा)

मसअ्ला.5:– ज़ैद के क़ब्ज़े में मकान है अम्र ने पूरे मकान का दावा किया, और बकर ने आधे का और दोनों ने अपनी मिल्क गवाहों से साबित की उस मकान की तीन चौथाई अम्र को दी जायेगी, और एक चौथाई बकर को क्योंकि निस्फ़ मकान तो अम्र को बिग़ैर मुनाज़अ्त मिलता है इसमें बकर निज़ाअ् ही नहीं करता निस्फ़ में दोनों की निज़ाअ् है यह निस्फ़ दोनों में बराबर तक़सीम कर दिया जायेगा, और अगर मकान इन्हीं दोनों मुद्दईयों के क़ब्ज़े में है तो मुद्दई कुल को निस्फ़ बिग़ैर क़ज़ा मिलेगा क्योंकि इस निस्फ़ में दूसरा निज़ाअ् ही नहीं करता, और निस्फ़ दोम उसी को बतौर क़ज़ा मिलेगा (फ़ैसले की वजह से मिलेगा) क्योंकि यह ख़ारिज है। और ख़ारिज़ के गवाह जुलयद के मुक़ाबिल में मोअ्तबर होते हैं। (हिदाया)

मसअ्ला.6:– मकान तीन शख़्सों के क़ब्ज़े में है एक पूरे मकान का मुद्दई है दूसरा निस्फ़ का, तीसरा तिहाई का यहाँ भी मकान इन तीनों में बतौर मुनाज़अ्त तक़सीम होगा। (दुर्रेमुख़्तार) यानी इस मकान के छत्तीस सिहाम किये जायेंगे जो कुल का मुद्दई है उसको पच्चीस सिहाम मिलेंगे, और मुद्दई निस्फ़ को सात सिहाम, और मुद्दई सुलुस को चार सिहाम।

मसअला.7:– जायदादे मौकूफ़ा (वक्फ की जायदाद) एक शख़्स के क़ब्ज़े में है इस पर दो शख़्सों ने दावा किया, और दोनों ने गवाहों से साबित कर दिया वह जायदाद दोनों पर निस्फ़ निस्फ़ करदी जायेगी यानी निस्फ़ की आमदनी वह लेगा, और निस्फ़ की यह मस्लन एक मकान के मुताल्लिक़ एक शख़्स यह दावा करता है कि मुझ पर वक़्फ़ है, और मुतवल्ली मस्जिद यह दावा करता है कि मस्जिद पर वक़्फ़ है। अगर दोनों तारीख़ बयान करदें तो जिसकी तारीख़ मुक़द्दम है वह हक़दार है वरना निस्फ़ उस पर वक़्फ़ क़रार दिया जायेगा और निस्फ़ मस्जिद पर यानी वक़्फ़ का दावा भी मिल्के मुतलक़ के हुक्म में है। यूंही अगर हर एक का दावा है कि वक़्फ़ की आमदनी वाक़िफ़ ने मेरे लिये क़रार दी है, और गवाहों से साबित करदे तो आमदनी निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम होजायेगी। (बहर)

मसअला.8:– दो शख़्सों ने शहादत दी कि फुलां शख़्स ने इक़रार किया है कि उसकी जायदाद औलादे जैद पर वक़्फ है, और दूसरे दो शख़्सों ने शहादत दी कि उसने यह इक़रार किया है कि उसकी जायदाद औलादे अम्र पर वक्फ है अगर दोनों में किसी का वक़्त मुकद्दम है तो उसके लिये है, और अगर वक़्त का बयान ही न हो, या दोनों बयानों में एक वक़्त हो, तो निस्फ़ औलादे ज़ैद पर वक़्फ़ क़रार दीजायेगी और निस्फ़ औलादे अम्र पर, और इनमें से जब कोई मर जायेगा तो उसका हिस्सा उसी फ़रीक़ में उनके लिये है जो बाक़ी हैं मस्लन जैद की औलाद में कोई मरा तो बक़िया औलादे ज़ैद में तक़सीम होगी, और औलादे अम्र को नहीं मिलेगी हाँ अगर एक की औलाद बिल्कुल ख़त्म होगई तो दूसरे की औलाद में चली जायेगी कि अब कोई मुज़ाहिम नहीं रहा (जायदाद का दावेदार नहीं रहा)। (बहर)

मसअला.9:– दावाए ऐन का यह हुक्म है जो बयान किया गया, उस वक़्त है कि दोनों ने गवाहों से साबित किया हो, और अगर गवाह न हों, तो ज़ुलयद को हल्फ़ दिया जायेगा अगर दोनों के मुक़ाबिल में उसने हल्फ कर लिया तो वह चीज़ उसके हाथ में छोड़दी जायेगी यूँ नहीं कि उसकी मिल्क क़रार दीजाये यानी अगर उन दोनों में से आइन्दा कोई गवाहों से साबित कर देगा तो उसे दिलादी जायेगी और अगर ज़ुलयद ने दोनों के मुकाबिल में नुकूल (क़सम से इन्कार) किया तो निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम करदी जायेगी। अब इसके बाद अगर उनमें से कोई गवाह पेश करना चाहेगा, नहीं सुना जायेगा। (बहर)

मसअला.10:– ख़ारिज और ज़ुलयद में निज़ाअ़ है ख़ारिज़ ने मिल्के मुतलक़ का दावा किया, और ज़ुलयद ने यह कहा, मैंने इसी से खरीदी है, या दोनों ने सबबे मिल्क बयान किया, और वह सबब ऐसा है जो दो मर्तबा नहीं हो सकता मस्लन हर एक कहता है कि यह जानवर मेरे घर का बच्चा है, या दोनों कहते हैं, कपड़ा मेरा है मैंने उसे बुना है, या दोनों कहते हैं, सूत मेरा है मैंने काता है, दूध मेरा है मैंने अपने जानवर से दुहा है, ऊन मेरी है मैंने काटी है, ग़र्ज़ यह कि मिल्क का ऐसा सबब बयान करते हैं जिसमें तकरार नहीं होसकती इनमें ज़ुलयद के गवाहों को तरजीह है मगर जब कि साथ साथ ख़ारिज़ ने ज़ुलयद पर किसी फ़ेल का दावा किया हो मस्लन यह जानवर मेरे घर का बच्चा है ज़ुलयद ने उसे ग़सब कर लिया है, या मैंने उसके पास अमानत रखी है, या इजारा पर दे दिया है तो ख़ारिज के गवाह को तरजीह है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार) मगर ज़ाहिरी तौर पर उसको ख़ारिज कहेंगे। हकीकतन ख़ारिज नहीं बल्कि यही ज़ुलयद है जैसा कि हमने बहर से नक़्ल किया।

मसअला.11:– अगर खारिज (यानी जिसका क़ब्ज़ा नहीं) व ज़ुलयद दोनों अपनी अपनी मिल्क का ऐसा सबब बताते हैं जो मुकर्रर हो सकता है जैसे यह दरख़्त मेरा है मैंने पौधा नसब किया है, या वह सबब ऐसा है जो पहले बसीरत पर मुश्किल होगया कि मुकर्रर होता है, या नहीं तो इन दोनों सूरतों में खारिज को तरजीह है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.12:– सबब के मुकर्रर होने न होने में अस्ल को देखा जायेगा ताबेअ़ को नहीं देखा जायेगा। दो बकरियां एक शख़्स के क़ब्ज़े में हैं एक सफ़ेद, दूसरी स्याह एक शख़्स ने गवाहों से साबित किया कि यह दोनों बकरियाँ मेरी हैं और इसी सफ़ेद बकरी का यह स्याह बच्चा है जो मेरे यहाँ मेरी मिल्क में पैदा हुआ। ज़ुलयद ने गवाहों से साबित किया कि यह दोनों मेरी मिल्क हैं, और

इसी स्याह बकरी का यह बच्चा सफ़ेद है जो मेरी मिल्क में पैदा हुआ इस सूरत में हर एक को वह बकरी देदी जायेगी जिसको हर एक अपने घर का बच्चा बताता है। (बहर)

मसअ्ला.13:— कबूतर, मुर्ग़ी, चिड़िया यानी अण्डे देने वाले जानवर को ख़ारिज और ज़ुलयद हर एक अपने घर का बच्चा बताता है। ज़ुलयद को दिलाया जायेगा। (बहर)

मसअ्ला.14:— मुर्ग़ी ग़सब की उसने चन्द अण्डे दिये इनमें से कुछ उसी मुर्ग़ी के नीचे बिठाये कुछ दूसरी के नीचे, और सबसे बच्चे निकले तो वह मुर्ग़ी मय उन बच्चों के जो उसके नीचे निकले हैं मग़सूब मिन्हु (मालिक) को दीजाये और यह बच्चे, जो ग़ासिब ने अपनी मुर्ग़ी के नीचे निकलवाये हैं ग़ासिब के हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:— एक जानवर के मुताल्लिक़ दो शख़्स मुद्दई हैं कि हमारे यहाँ का बच्चा है ख़्वाह वह जानवर दो के क़ब्ज़े में हो या एक के क़ब्ज़े में हो या उनमें से किसी के क़ब्ज़े में न हो बल्कि तीसरे के क़ब्ज़े में हो अगर दोनों ने तारीख़ बयान की है कि इतने दिन हुए जब यह पैदा हुआ था और दोनों ने गवाहों से साबित कर दिया तो जानवर की उम्र जिसकी तारीख़ से ज़ाहिर तौर पर मुवाफ़िक़ मालूम होती है उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला होगा और अगर तारीख़ नहीं बयान की तो इनमें से जिसके क़ब्ज़े में हो उसे दिया जाये और अगर दोनों के क़ब्ज़े में हो या तीसरे के क़ब्ज़े में हो। तो दोनों बराबर के शरीक कर दिये जायेंगे और अगर दोनें ने तारीखें बयान करदीं, मगर जानवर की उम्र किसी के मुवाफ़िक़ नहीं मालूम होती, या इश्काल पैदा होगया, पता नहीं चलता कि उम्र किस के कौल से मुवाफ़िक है तो अगर दोनों के क़ब्ज़े में है तो दोनों को शरीक कर दिया जाये। और अगर उन्हीं में से एक के क़ब्ज़े में हो, तो उसी के लिये है जिसके क़ब्ज़े में है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:— एक शख़्स के क़ब्ज़े में बकरी है उस पर दूसरे ने दावा किया कि यह मेरी बकरी है। मेरी मिल्क में पैदा हुई और उसे गवाहों से साबित किया जिसके क़ब्ज़े में है उसने यह साबित किया कि बकरी मेरी है फ़ुलाँ शख़्स से मुझे उसकी मिल्क हासिल हुई है और यह उसी के घर का बच्चा है उसी क़ाबिज़ के मुवाफ़िक़ फ़ैसला होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.17:— ख़ारिज ने गवाह से साबित किया कि जिसने मेरे हाथ बेचा है उसके घर का बच्चा है और ज़ुलयद ने साबित किया कि ख़ुद मेरे घर का बच्चा है ज़ुलयद के गवाहों को तरजीह है(आलमगीरी)

मसअ्ला.18:— दो शख़्सों ने एक औरत के मुताल्लिक़ दावा किया, हर एक उसको अपनी मनकूहा बताता है और दोनों ने निकाह को गवाहों से साबित किया तो दोनों जानिब के गवाह मुतआरिज़ होकर साकित होगये न इसका निकाह साबित हुआ, न उसका और औरत को वह लेजायेगा। जिसके निकाह की तस्दीक़ करती हो ब'शर्ते कि उसके क़ब्ज़े में न हो जिसके निकाह की तकज़ीब करती हो या उसने दुख़ूल किया हो दूसरे ने नहीं, तो उसी की औरत क़रार दी जायेगी। यह तमाम बातें उस वक़्त हैं जबकि दोनों ने निकाह की तारीख़ न बयान की हो और अगर निकाह की तारीख़ बयान की हो तो जिसकी तारीख़ मुक़द्दम है वह हक़दार है और अगर एक ने तारीख़ बयान की, दूसरे ने नहीं, जो जिसके क़ब्ज़े में है या जिसकी तस्दीक़ वह औरत करती हो, वह हक़दार है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.19:— दो शख़्स निकाह के मुद्दई हैं और गवाह, उनमें से किसी के पास न थे औरत उसको मिली, जिसकी उसने तस्दीक़ की दूसरे ने गवाह से अपना निकाह साबित किया, तो उसको मिलेगी क्योंकि गवाह के होते हुए, औरत की तस्दीक़ कोई चीज़ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मोहतार)

मसअ्ला.20:— एक ने निकाह का दावा किया, और गवाह से साबित किया, उसके लिये फ़ैसला होगया, इसके बाद दूसरा दावा करता है और गवाह पेश करता है उसको रद कर दिया जायेगा हाँ अगर उसने गवाहों से अपने निकाह की तारीख़ मुक़द्दम साबित करदी, तो उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.21:— औरत मर चुकी है, उसके मुताल्लिक़ दो शख़्सों ने निकाह का दावा किया, और गवाहों से साबित किया, चूँकि उसका दावा महसल (यानी उस दावे का हासिल) तलबे माल है दोनों को

हमे बड़ी मुसर्रत हो रही है कि अल्लाह त'आला और उसके हबीब सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम के हुक्म फ़ज़्ल-ओ-करम से और बुज़ुर्गाने दीन सिलसिला-ए-क़ादिरिया बिलख़ुसूस पिराने पीर दस्तगीर हुज़ूर ग़ौस-ए-आज़म शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रादिअल्लाहु त'आला अन्हू के फ़ैज़ से क़िताब बहार-ए-शरीअत (हिस्सा **11** से **20**) हिंदी में पीडीएफ [**PDF**] में आप की खिदमत में पेश की जा रही है।

ज़माना-ए- क़दीम से अवमुन्नास की इस्लाहे हाल और हिदायते उख़रवी व दुनयवी के लिए हक़ सदाक़त के जाम की फ़राहमी की जाती रही है और ये इलतेज़ाम ख़ालिक़-ए-क़ायनात जल्ला जलालहु ने ब अहसान अपनी मख़लूक़ के लिए फ़रमाया है। अम्बिया व मुर्सलीन के बेहतरीन दौर के बाद उसने यह ख़िदमत अपने मुक़र्रबीन रिज़वानुल्लाह त'आला अलैहिम अजमईन के सुपुर्द की और यह सिलसिला अला हालही जारी व सारि है।

मज़हब-ए-इस्लाम अल्लाह त'आला का पसंदीदा दीन है । जिंदगी का कोई ऐसा शोबा नही जिसके लिए इस्लाम ने हमे क़ानून न दिया हो ।

आज जिस दौर से हम गुज़र रहे है हमारा मुस्लिम तबका उर्दू की तरफ ध्यान नही दे रहा है और नई नस्ल तो बिल्कुल ही उर्दू से नावाक़िफ़ होती जा रही है । नतीजे के तौर पर दीनी और मज़हबी दिलचस्पियाँ कम हो रही है और हम अपने हाल को ग़ैर मुंज़बित तरीके पे छोड़े रहते है ।

लिहाज़ा ये किताब हिंदी में लिखी गई है और आप सब की आसानी के लिए हम ने इस किताब को पीडीएफ फ़ाइल में आप की ख़िदमत में पेश किया है।
आप सब से हमारी गुज़ारिश है कि अपनी मसरूफ ज़िन्दगी में से रोज़ाना वक़्त निकाल कर बुज़ुर्गो की तस्नीफ़ करदा किताबो को मुताला में रखें , इंशा अल्लाह त'आला दीन और दुनिया दोनो में मक़बूल होंगे।

दुआओं के तलबगार

वसीम अहमद रज़ा खान और साथी

+91-8109613336

उसका वारिस् क़रार दिया जायेगा और शौहर का जो हिस्सा होता है उसमें दोनों बराबर के शरीक होंगे और दोनों पर निस्फ़ निस्फ़ महर लाज़िम। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.22:– एक शख़्स ने निकाह किया, दूसरा शख़्स दावा करता है, कि यह औरत मेरी जौजा है। मुददा'अलैह कहता है तेरी ज़ौजा थी, मगर तूने तलाक़ देदी और इद्दत पूरी होगई अब उससे मैंने निकाह किया, मुददई तलाक़ से इन्कार करता है और तलाक़ के गवाह नहीं हैं औरत मुददई को दिलाई जायेगी और अगर मुद्दई कहता है कि मैंने तलाक़ दी थी मगर उससे फिर निकाह कर लिया, और मुददा'अलैह दोबारा निकाह करने का इन्कार करता है तो मुद्दा'अलैह को दिलाई जायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.23:– मर्द कहता है तेरी ना'बालिग़ी में तेरे बाप ने मुझ से निकाह कर दिया या औरत कहती है मेरे बाप ने जब निकाह किया था मैं बालिग़ा थी और निकाह से मैंने नाराज़ी ज़ाहिर करदी थी इस सूरत में कौल औरत का मोअ्तबर है और गवाह मर्द के। (खानिया)

मसअ्ला.24:– मर्द ने गवाहों से साबित किया कि मैंने इस औरत से निकाह किया है और औरत की बहन ने दावा किया कि मैंने इस मर्द से निकाह किया है मर्द के गवाह मोअ्तबर होंगे औरत के गवाह ना'मक़बूल होंगे। (खानिया)

मसअ्ला.25:– मर्द ने निकाह का दावा किया, औरत ने इन्कार कर दिया मगर उसने दूसरे की ज़ौजा होने का इक़रार नहीं किया है फिर क़ाज़ी के पास मुद्दई की ज़ौजा होने का इक़रार किया यह इक़रार सही है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.26:– मर्द ने दावा किया कि इस औरत से एक हज़ार महर पर मैंने निकाह किया है औरत ने इन्कार करदिया, मर्द ने दो हज़ार महर पर निकाह होने का सुबूत दिया, गवाह मक़बूल हैं दो हज़ार महर पर निकाह होना क़रार पायेगा। (खनिया)

मसअ्ला.27:– मर्द ने निकाह का दावा किया औरत कहती है मैं उसकी ज़ौजा थी, मगर मुझे उसकी वफ़ात की इत्तिला मिली, मैंने इद्दत पूरी करके इस दूसरे शख़्स से निकाह कर लिया, वह औरत मुददई की ज़ौजा है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.28:– एक शख़्स के पास चीज़ है दो शख़्स मुद्दई हैं हर एक यह कहता है कि मैंने इससे ख़रीदी है और इसका सुबूत भी देता है। हर एक को निस्फ़ निस्फ़ समन पर निस्फ़ निस्फ़ चीज़ का हुक्म दिया जायेगा और हर एक को यह भी इख़्तेयार दिया जायेगा कि आधा समन देकर आधी चीज़ ले, या बिल्कुल छोड़दे फ़ैसले के बाद, एक ने कहा आधी लेकर क्या करूँगा, छोड़ता हूँ तो दूसरे को पूरी अब भी नहीं मिल सकती कि इसकी निस्फ़ बैअ् फ़स्ख होचुकी और फ़ैसले से क़ब्ल उसने छोड़दी तो यह कुल ले सकता है। (हिदाया)

मसअ्ला.29:– सूरते मज़कूरा (ज़िक्र किये गये मसअ्ले में) में अगर हर एक ने गवाहों से साबित किया है कि पूरा समन अदा कर दिया है तो निस्फ़ समन बाइअ् यानी ज़ुलयद से वापस लेगा और अगर सूरते मज़कूरा में ज़ुलयद इन दोनों में से एक की तस्दीक़ करता है। कहता है कि यह चीज़ मेरी थी मैंने इसके हाथ बैअ् की है और वह चीज़ मुश्तरी के सिवा किसी दूसरे के क़ब्ज़े में है तो बाइअ् की तस्दीक़ बेकार है। (बहर)

मसअ्ला.30:– दो शख़्सों ने ख़रीदने का दावा किया, और दोनों ने ख़रीदारी की तारीख़ भी बयान की तो जिसकी तारीख़ मुक़द्दम है उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला होगा और अगर एक ने तारीख़ बयान की दूसरे ने नहीं, तो तारीख़ वाला औला है और अगर ज़ुलयद और ख़ारिज में निज़ाअ् हो दोनों एक तीसरे शख़्स से ख़रीदना बताते हों और दोनों ने तारीख़ नहीं बयान की, एक की, या दोनों की एक तारीख़ है या एक ही ने तारीख़ बयान की, इन सब सूरतों में ज़ुलयद औला है। (बहर)

मसअ्ला.31:– दोनों ने दो शख़्सों से ख़रीदने का दावा किया, ज़ैद कहता है मैंने बकर से ख़रीदी, और अम्र कहता है मैंने ख़ालिद से ख़रीदी, इन दोनों ने अगरचे तारीख़ बयान की हो और अगरचे

एक की तारीख़ दूसरे से मुक़द्दम हो इनमें कोई दूसरे से ज़्यादा हक़दार नहीं, बल्कि दोनों निस्फ़ निस्फ़ ले सकते हैं। (बहर)

मसअ्ला.32:– कच्ची ईंट इसके क़ब्ज़े में है दूसरे शख़्स ने दावा किया कि यह ईंट मेरी मिल्क में बनाई गई है और ज़ुलयद साबित करता है कि मेरी मिल्क में बनाई गई है। ख़ारिज को तरजीह है। और अगर पक्की ईंट या चूना या गच करने के मसाले (सफ़ेदी और दरिया की रेत से तैयार किया हुआ चूना जो प्लास्तर में इस्तेमाल किया जाता है) के मुताल्लिक़ यही सूरत पेश आजाये तो ज़ुलयद को तरजीह है।(बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.33:– हर एक दूसरे का नाम लेकर कहता है मैंने इससे ख़रीदी है मस्लन ज़ैद कहता है मैंने अ़म्र से ख़रीदी है और अ़म्र कहता है मैंने ज़ैद से ख़रीदी है चाहे यह दोनों ख़ारिज हों या इन में एक ख़ारिज हो और एक ज़ुलयद और तारीख़ कोई बयान नहीं करता तो दोनों जानिब के गवाह साक़ित, और चीज़ जिसके क़ब्ज़े में है उसी के पास छोड़दी जायेगी फिर अगर दोनों जानिब के गवाहों ने यह भी बयान किया कि चीज़ ख़रीदी, और समन अदा कर दिया तो अदला बदला हो गया यानी कोई दूसरे से समन वापस नहीं पायेगा दोनों फ़रीक़ों ने सिर्फ़ ख़रीदना ही बयान किया हो या ख़रीदना और क़ब्ज़ा करना दोनों बातों को साबित किया हो दोनों सूरतों का एक ही हुक्म है यानी दोनों जानिब के गवाह साक़ित, और अगर दोनों जानिब के गवाहों ने वक़्त बयान किया है और जायदाद मुतानाज़ेअ् फ़ीह ग़ैर मन्क़ूला (ऐसी जायदाद जिसमें झगड़ा हो और जो एक जगह से दूसरी जगह न लेजाई जा सके (अमीनुल क़ादरी)) है। और बैअ् के साथ क़ब्ज़ा को ज़िक्र नहीं किया है और ख़ारिज का वक़्त मुक़द्दम है तो ज़ुलयद मुस्तहिक़ क़रार पायेगा यानी ख़ारिज ने ज़ुलयद से ख़रीदकर क़ब्ज़ा से पहले ज़ुलयद के हाथ बैअ् करदी और क़ब्ज़ा से क़ब्ल बैअ् कर देना ग़ैर मन्क़ूल (ऐसी जायदाद जिसे एक जगह से दूसरी जगह न लेजा सकें। (अमीनुल क़ादरी)) में दुरुस्त है और अगर हर एक के गवाह ने क़ब्ज़ा भी बयान कर दिया जब भी ज़ुलयद के लिये फ़ैसला होगा क्योंकि क़ब्ज़ा के बाद ख़ारिज ने ज़ुलयद के हाथ बैअ् करदी और यह बिल'इजमा (बिग़ैर इख़्तिलाफ़) जाइज़ है और अगर गवाहों ने तारीख़ बयान की और ज़ुलयद की तारीख़ मुक़द्दम है तो ख़ारिज के मुवाफ़िक़ फ़ैसला होगा यानी ज़ुलयद ने उसे ख़रीदकर फिर ख़ारिज के हाथ बैअ् कर दिया। (हिदाया, बहर)

मसअ्ला.34:– बकर ने दावा किया कि मैंने अ़म्र से यह मकान हज़ार रूपये में ख़रीदा है और अ़म्र कहता है मैंने बकर से हज़ार रूपये में ख़रीदा है और वह मकान ज़ैद के क़ब्ज़े में है। ज़ैद कहता है मकान मेरा है मैंने अ़म्र से हज़ार रूपये में ख़रीदा है और सबने अपने अपने दावा को गवाहों से साबित कर दिया मकान ज़ैद को ही दिया जायेगा और उन दोनों को साक़ित कर दिया जायेगा(बहर)

मसअ्ला.35:– दो शख़्सों ने दावा किया, एक कहता है मैंने यह चीज़ फ़ुलाँ से ख़रीदी है दूसरा कहता है उसी ने मुझे हिबा की है या सदक़ा की है या मेरे पास रहन रखी है अगरचे साथ साथ क़ब्ज़ा दिलाने का भी ज़िक्र करता हो और दोनों ने अपने दावे को गवाहों से साबित कर दिया, इन सब सूरतों में ख़रीदने को सब पर तरजीह है। यह उस सूरत में है कि तारीख़ किसी जानिब न हो, या दोनों की एक तारीख़ हो, और अगर इन चीज़ों की तारीख़ मुक़द्दम है तो यही ज़्यादा हक़दार हैं और अगर एक ही जानिब तारीख़ है तो जिधर तारीख़ है वह औला है यह उस वक़्त है कि ऐसी चीज़ में निज़ाअ् हो जो क़ाबिले क़िस्मत (तक़सीम करने के लायक़ (अमीनुल क़ादरी)) न हो जैसे गुलाम, घोड़ा वग़ैरा, और अगर वह चीज़ क़ाबिले क़िस्मत है जैसे मकान तो अगर मुश्तरी के लिए हिस्सा क़रार दिया जायेगा तो हिबा बातिल होजायेगा यानी जिस सूरत में दोनों को चीज़ दिलाई जाती है हिबा बातिल है कि मुशाअ् क़ाबिले क़िस्मत का हिबा सही नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.36:– ख़रीदारी को हिबा वग़ैरा पर उस वक़्त तरजीह है कि एक ही शख़्स से दोनों ने उस चीज़ का मिलना बताया और अगर ज़ैद कहता है मैंने बकर से ख़रीदी है और अ़म्र कहता है मुझे ख़ालिद ने हिबा की, तो किसी को तरजीह नहीं दोनों बराबर के हक़दार हैं। (बहर)

मसअ्ला.37:– हिबा में एवज़ है, तो यह बैअ् के हुक्म में है यानी अगर एक ख़रीदने का मुद्दई है दूसरा हिबा बिल एवज का दोनों बराबर हैं निस्फ़ निस्फ़ दोनों को मिलेगी हिबा मक़बूज़ा (वह हिबा जिस पर क़ब्ज़ा होचुका हो) और सदका–ए–मक़बूज़ा दोनों मसावी (बराबर) हैं। (बहर)

मसअ्ला.38:– एक शख़्स ने ज़ुलयद पर दावा किया कि इस चीज़ को फ़ुलाँ से मैंने ख़रीदा है और एक औरत यह दावा करती है कि उसने इस चीज़ को मेरे निकाह का महर क़रार दिया है इस सूरत में दोनों बराबर हैं। महर को रहन व हिबा व सदक़ा सब पर तरजीह है। (बहर)

मसअ्ला.39:– रहन मअ्ल क़ब्ज़ (वह रहन जिस पर क़ब्ज़ा हो) हिबा बिग़ैर एवज़ से क़वी है और अगर हिबा में एवज़ है तो रहन से औला है। (बहर)

मसअ्ला.40:– ज़ैद के पास एक चीज़ है अम्र दावा करता है कि इसने मुझ से ग़सब करली है और बकर दावा करता है, कि मैंने इसके पास अमानत रखी है यह देता नहीं है और दोनों ने साबित कर दिया। दोनों बराबर के शरीक कर दिये जायें क्योंकि अमानत को देने से अमीन इन्कार करदे तो वह भी ग़सब ही है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.41:– दो ख़ारिज ने मिल्के मोअर्रिख़ का दावा किया, यानी हर एक अपनी मिल्क कहता है और उसके साथ तारीख़ भी ज़िक्र करता है या दोनों ज़ुलयद के सिवा एक शख़्से सालिस् (तीसरे) से ख़रीदने का दावा करते हैं और तारीख़ भी बताते हैं इन दोनों सूरतों में, जिसकी तारीख़ मुक़द्दम है वही हक़दार है और अगर दोनों मुद्दईयों ने दो बाइअ् से ख़रीदना बताया है तो चाहे वक़्त बतायें, या न बतायें, तक़द्दुम, तअख़्ख़ुर हो, या न हो बहर हाल दोनों बराबर हैं तरजीह किसी को नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.42:– एक तरफ़ गवाह ज़्यादा हों, और दूसरी तरफ़ कम, मगर इधर भी दो हों तो जिस तरफ़ ज़्यादा हों, उसके लिये तरजीह नहीं यानी निसाबे शहादत के बाद कमी, ज़्यादती का लिहाज़ नहीं होगा मसलन एक तरफ़ दो गवाह हों, दूसरी तरफ़ चार, तो चार वाले को तरजीह नहीं, दोनों बराबर क़रार दिये जायेंगे इस लिये कि कस्रते दलील का एअ्तिबार नहीं बल्कि क़ुव्वत का लिहाज़ है। यूँही एक तरफ़ ज़्यादा आदिल हों मगर दूसरी तरफ़ वाले भी आदिल हैं इनमें एक को, दूसरे पर तरजीह नहीं। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.43:– इन्सान जितने हैं सब आज़ाद हैं जब तक ग़ुलाम होने का सुबूत न हो आज़ाद ही तसव्वुर किये जायेंगे कि यही असली हालत है मगर चार मवाक़ेअ् ऐसे हैं कि उनमें आज़ादी का सुबूत देना पड़ेगा। (1)शहादत, (2)हुदूद, (3)क़िसास, (4)क़त्ल मसलन एक शख़्स ने गवाही दी, फ़रीक़े मुक़ाबिल उस पर तान करता है कि यह ग़ुलाम है उस वक़्त इसका फ़क़त कह देना काफ़ी नहीं है कि मैं आज़ाद हूँ जब तक सुबूत न दे या एक शख़्स पर ज़िना की तोहमत लगाई, उसने दावा कर दिया, यह कहता है कि वह ग़ुलाम है तो हद्दे क़ज़फ़ क़ायम करने लिये यह ज़रूरी है कि वह अपनी आज़ादी साबित करे इसी तरह किसी का हाथ काट दिया है या ख़ताअन क़त्ल वाक़ेअ् हुआ, तो उस दस्त बुरीदा, या मक़तूल के आज़ाद होने का सुबूत देने पर क़िसास या दीयत का हुक्म होगा। इन चार जगहों के अलावा उसका कह देना काफ़ी होगा कि मैं आज़ाद हूँ उसी का क़ौल मोअ्तबर होगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

क़ब्ज़ा की बिना पर फ़ैसला

मसअ्ला.1:– किसी की ज़मीन पर बिग़ैर बोये हुए ग़ल्ला जम आया, जैसा कि अकसर धान के खेतों में देखा जाता है कि फ़सल काटने के वक़्त कुछ धान गिर जाते हैं फिर दूसरी साल यह उग जाते हैं यह पैदावार ज़मीन के मालिक की है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– एक शख़्स की नहर है जिसके किनारे पर बन्दा (जो पानी रोकने के लिये बनाया जाता है) है और बन्दे के बाद की ज़मीन जो उससे मुत्तसिल है दूसरे की है। इस बन्दे के मुताल्लिक दोनों दावा करते हैं हर एक अपनी मिल्क बताता है मगर न तो ज़मीन जिसकी है उसका ही क़ब्ज़ा

साबित है कि उसके इस पर दरख़्त होते, और मालिके नहर का भी क़ब्ज़ा साबित नहीं, कि नहर की मिट्टी उस पर फेंकी गई होती, सूरते मज़कूरा में बन्दा ज़मीन वाले का क़रार पायेगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– सैलाब में मिट्टी ढल कर किसी की ज़मीन में जमा होगई उसका मालिक, मालिक ज़मीन है। (आलमगीरी) यूंही बरसात में पानी के साथ मिट्टी धुल कर बहती है और गढ्ढों में जब पानी ठहर जाता है तह नशीन होजाती है यह मिट्टी उसकी मिल्क है जिसकी मिल्क में जमा हुई।

मसअ्ला.4:– पन चक्की में जब आटा पिस्ता है कुछ उड़ जाता है फिर वह ज़मीन पर जमा हो जाता है सही यह है कि यह आटा जो उठाले, उसी का है। (आलमगीरी) आज कल उमूमन चक्की वालों ने क़ायदा मुक़र्रर कर रखा है कि जो आटा पिसवाने आता है उसे फ़ी मन आध सेर, या सेर भर कम देते हैं कहते हैं यह छीज है। अकसर इससे बहुत कम उड़ता है और यह छीज की मिक़दार रोज़ाना बहुत ज़्यादा जमा होजाती है जिसको वह बेचते हैं यह नाजायज़ है कि मिल्के ग़ैर पर बिला वजहे क़ब्ज़ा व तसर्रुफ़ है। सिर्फ़ उतना ही कम होना चाहिए, जो उड़ गया, और कुछ देर के बाद दीवार व ज़मीन में जमा हो जाता है जिसको झाड़ कर इकट्ठा कर लेते हैं।

मसअ्ला.5:– डलाव जहाँ कूड़ा फेंका जाता है राख व गोबर भी फेंकते हैं जो यहाँ से उठा ले वही मालिक है मालिके ज़मीन की यह मिल्क नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– एक शख़्स कपड़ा पहने हुए है दूसरा उसका दामन या आस्तीन पकड़े हुए है क़ब्ज़ा पहनने वाले का है। एक शख़्स घोड़े पर सवार है दूसरा लगाम पकड़े हुए है सवार का क़ब्ज़ा है। एक शख़्स ज़ीन पर सवार है दूसरा उसके पीछे सवार है ज़ीन वाला क़ाबिज़ है। एक शख़्स का ऊँट पर सामान लदा हुआ है दूसरे की सिर्फ़ सुराही उस पर लटकी हुई है सामान वाला ज़्यादा हक़दार है। बिछौने पर एक शख़्स बैठा है दूसरा उसे पकड़े हुए है दोनों बराबर हैं जिस तरह दोनों उसपर बैठे हों या दोनों ज़ीन पर सवार हों तो दोनों बराबर क़ाबिज़ माने जाते हैं इसी तरह एक शख़्स कपड़े को लिये हुए है दूसरे के हाथ में कपड़े का थोड़ा हिस्सा है दोनों यकसां क़ाबिज़ हैं। और एक मकान में दो शख़्स बैठे हुए हैं तो महज़ बैठा होना क़ब्ज़ा नहीं, दोनों यकसां हैं(हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– ऊँटों की क़तार को एक शख़्स खींचे लिये जा रहा है और इस क़तार में से एक शख़्स एक ऊँट पर सवार है हर एक यह कहता है कि यह सब मेरे हैं। अगर यह ऊँट सवार के बार बर्दारी के हों, तो सब सवार के हैं और खींचने वाला अजीर (नौकर) है और अगर वह सब नंगी पीठ हों तो जिस पर वह सवार है वह सवार का है बाक़ी सब दूसरे के हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– लोगों ने देखा कि मकान में से एक शख़्स निकला जिसकी पीठ पर गठरी बंधी है। साहिबे ख़ाना कहता है गठरी मेरी है वह कहता है, मेरी है अगर मालूम है कि यह उस चीज़ का ताजिर है जो गठरी में है मसलन फेरी करके कपड़े बेचता है और गठरी में कपड़े हैं तो गठरी उसकी है वरना साहिबे ख़ाना की। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– दीवार उसकी है जिसकी कड़ियां उस पर हों, या वह दीवार उसकी दीवार से इस तरह मुत्तसिल हो कि इसकी ईंटें उसमें और उसकी इसमें मुतदाख़िल (घुसी हुई) हों, इसको इत्तिसाले तरबीअ् कहते हैं और अगर इसकी दीवार से मुत्तसिल हो, मगर इस तरह नहीं, तो इसकी नहीं, यूंही अगर उसने दीवार पर टट्टा रख लिया हो, तो इससे क़ब्ज़ा साबित न होगा यानी दो पड़ोसियों में दीवार के मुताल्लिक़ निज़ाअ् है एक ने उस पर टट्टा रख लिया है दूसरे ने कुछ नहीं, तो दीवार में दोनों बराबर के शरीक क़रार पायेंगे और अगर इन में एक की कड़ियां हों बल्कि एक ही कड़ी दीवार पर हो तो उसी का क़ब्ज़ा तसव्वुर किया जायेगा। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– दीवार पर एक शख़्स की कड़ियां हैं और दूसरे की दीवार से इत्तिसाले तरबीअ् है तो इत्तिसाल वाले की क़रार दी जायेगी मगर जिसकी कड़ियां हैं उसको कड़ियां रखने का हक़ हासिल रहेगा वह शख़्स उसे रोक नहीं सकता। दीवार के मुताल्लिक़ निज़ाअ् है दोनों की उसपर

कड़ियां हैं मगर एक की हाथ दो हाथ नीचे हैं दूसरे की ऊपर हैं तो दीवार उसकी है जिसकी कड़ियां नीचे हैं मगर ऊपर वाले को कड़ी रखने से मना नहीं कर सकता। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल मोहतार)

मसअ्ला.11:– दीवार मुतनाज़अ् फ़ीह (जिस दीवार के मुतअल्लिक झगडा है) एक शख़्स की दीवार से मुत्तसिल है अगरचे इत्तिसाले तरबीअ् नहीं, बल्कि महज़ मिली हुई है और दूसरे की दीवार से इतना भी लगाव नहीं, तो जिसकी दीवार से इत्तिसाल है वह हक़दार है। (नताइज)

मसअ्ला.12:– एक शख़्स ने अपने मकान की कडियां दूसरे की दीवार पर रखने की इजाजत मांगी. उसने इजाज़त देदी, उसके बाद मालिक मकान ने अपना मकान बेच डाला, खरीदार उससे कहता है कि तुम मेरी दीवार से कड़ियां उठालो उसको उठानी होंगी यूंही मकान के नीचे तहखाना बना लिया और मुश्तरी उसे बन्द करने को कहता है तो बन्द करा सकता है। हाँ अगर बाइअ् ने फ़रोख़्त करने के वक़्त यह शर्त करदी थी, कि उसकी कड़ियां या तहख़ाना रहेगा तो अब मुश्तरी को मना करने का हक़ नहीं रहा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.13:– दूसरे की दीवार पर बतौर जुल्म व तअ़द्दी कड़ियां रखली हैं उसने मकान बैअ् किया, किराये पर दिया, उसने मुसालहत करली, या उसके इस फ़ेअ्ल को मुआफ़ कर दिया, फिर भी हटाने का मुतालबा कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.14:– दीवार पर दो शख़्सों की कड़ियां हैं हर एक अपनी अपनी मिल्क का दावा करता है अगर गवाहों से मिल्क साबित न हो, सिर्फ़ इस अलामत से मिल्क साबित करना चाहते हैं तो अगर दोनों की कम अज़ कम तीन, तीन कड़ियां हैं तो दीवार दोनों में मुश्तरक है और अगर एक की तीन से कम हों, तो दीवार उसकी क़रार दी जायेगी जिसकी ज़्यादा कड़ियां हों और उसको कड़ी रखने का हक़ है उससे नहीं मना कर सकता। (हिदाया)

मसअ्ला.15:– दो मकानों के दरम्यान दीवार है जिसका हर एक मुद्दई है उस दीवार का रूख़ एक तरफ़ है दूसरी तरफ़ पछीत है वह दीवार दोनों की क़रार पायेगी यह नहीं, कि जिसकी तरफ़ उसका रूख़ है उसी की है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– दीवार दो शख़्सों में मुश्तरक है उसका एक किनारा गिर गया जिससे मालूम हुआ दो दीवारें हैं एक दीवार दूसरी के साथ चिपकी हुई है एक तरफ़ वाला चाहता है कि अपनी तरफ़ की दीवार हटा दे, अगर वह दोनों यह कह चुके हों कि दीवार मुश्तरक तो दोनों दीवारें मुश्तरक मानी जायेंगी किसी को दीवार हटाने का इख़्तेयार नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.17:– दीवार मुश्तरक है उस पर एक की कड़ियां वग़ैरा ऐसी चीज़ें हैं जिसका बोझ है वह दीवार उसकी जानिब को झुकी, जिसका दीवार पर कोई सामान नहीं है उसने लोगों को गवाह करके, दूसरे से कहा कि अपना सामान उतारलो, वरना दीवार गिरने से नुक़सान होगा उसने ब'वजूद कुदरत सामान नहीं उतारा, दीवार गिरगई और उसका नुक़सान हुआ, अगर उस वक़्त जब उसने कहा था दीवार ख़तरनाक हालत में थी उसपर उन चीज़ों का तावान लाज़िम होगा जो नुक़सान हुई। (ख़ानिया)

मसअ्ला.18:– दीवारे मुश्तरक गिर गई, एक के बाल बच्चे हैं पर्दा की ज़रूरत है वह चाहता है। दीवार बनाई जाये, ताकि बे'पर्दगी न हो दूसरा इन्कार करता है अगर दीवार इतनी चौड़ी है कि तक़सीम हो सकती है यानी हर एक के हिस्से में इतनी चौड़ी ज़मीन आ सकती है जिसमें पर्दा की दीवार बन जाये यह अपने हिस्से में पर्दा की दीवार बनाले और इतनी चौड़ी न हो तो दूसरा बनाने पर मजबूर किया जायेगा। (ख़ानिया)

मसअ्ला.19:– दीवारे मुश्तरक को दोनों शरीकों ने मुत्तफ़िक़ होकर गिराया, एक शरीक फिर से बनाना चाहता है दूसरा सर्फ़ा देने से इन्कार करता है कहता है, मुझे इस दीवार पर कुछ रखना नहीं है लिहाज़ा मैं सर्फ़ा (खर्चा) नहीं दूँगा, पहला शख़्स दीवार बनाने में जो कुछ ख़र्च करेगा उसका निस्फ़

दूसरे को देना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.20:– एक वसीअ् मकान (बड़ा मकान) है बहुत दालान और कमरों पर मुश्तमिल है उनमें से एक कमरा एक का है बाक़ी तमाम दूसरे के हैं। मकान के आंगन के मुताल्लिक़ दोनों में निज़ाअ् है। सहन (आंगन) दोनों को बराबर दिया जायेगा क्योंकि सहन के इस्तेमाल में दोनों बराबर हैं मसलन आना, जाना, धोवन वुज़ू वग़ैरा का पानी गिराना, ईंधन डालना, ख़ानादारी के सामान रखना। (हिदाया) यह उस सूरत में है जब यह मालूम न हो, कि सहन में किस की कितनी मिल्क है और अगर मालूम है कि हर एक की मिल्क इतनी है तो तक़सीम ब'क़दरे मिल्क होगी। मसलन मकान एक शख़्स का है वह मर गया, और वह मकान वुरसा में तक़सीम हुआ, किसी को कम मिला किसी को ज़्यादा तो सहन की तक़सीम भी इसी तरह होगी। मसलन एक को एक कमरा दूसरे को दो, तो सहन भी एक को सुलुस् (तिहाई) दूसरे को दो सुलुस् (दो तिहाई)। (रद्दुल'मोहतार)

मसअ्ला.21:– घाट और पानी में निज़ाअ् हो एक के खेत ज़्यादा हैं और एक के कम तो उसकी तक़सीम खेतों के लिहाज़ से होगी जिसके खेत ज़्यादा हैं वह ज़्यादा का मुस्तहिक़ है और जिसके कम हैं वह कम का मुस्तहिक़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.22:– ग़ैर मन्कूला (वह जायदाद जो एक जगह से दूसरी जगह मुन्तक़िल न हो सके (अमीनुल क़ादरी)) में क़ब्ज़ा का सुबूत गवाहों से होगा या मालिकाना तसर्रुफ़ से होगा मसलन ज़मीन में ईंट थापना, गढ़ा खोदना, या इमारत बनाना, तसर्रुफ़ है। जिसका यह तसर्रुफ़ है वही क़ाबिज़ है इसमें क़ब्ज़े का सुबूत तसादुक़ से नहीं होगा न क़सम से इन्कार पर होगा। (दुरर, ग़ुरर,)

मसअ्ला.23:– एक चीज़ के मुताल्लिक़ फ़िलहाल मिल्क का दावा किया और गवाहों ने ज़माना गुज़श्ता में उसकी मिल्क होना, बयान किया गवाही मोअ्तबर है यानी दावा और शहादत में मुख़ालफ़त नहीं है बल्कि ज़माना गुज़श्ता की मिल्क उस वक़्त भी साबित मानी जायेगी जब तक उसका ज़ाइल होना साबित न हो। (दुर्रेमुख़्तार)

दावा–ए–नसब का बयान

मसअ्ला.1:– एक बच्चे की निस्बत अम्र ने बयान किया, कि यह ज़ैद का बेटा है फिर कुछ दिनों के बाद कहता है कि यह मेरा बेटा है यह लड़का अम्र का बेटा किसी तरह हो ही नहीं सकता। अगरचे ज़ैद भी उसके बेटे होने से इन्कार करता हो यानी दूसरे की तरफ़ मन्सूब कर देने के बाद अपनी तरफ़ मन्सूब करने का हक़ ही बाक़ी नहीं रहता। (हिदाया)

मसअ्ला.2:– एक लड़के की निस्बत कहा, यह मेरा लड़का है फिर कहा मेरा नहीं है यह दूसरा क़ौल बातिल है यानी नसब का इक़रार कर लेने के बाद नसब साबित होजाता है लिहाज़ा अब इन्कार नहीं कर सकता, यह उस वक़्त है कि लड़के ने फिर उसकी तस्दीक़ करली है और अगर उसने तस्दीक़ नहीं की है तो नसब साबित नहीं, हाँ अगर लड़के ने फिर उसकी तस्दीक़ करली, तो नसब साबित होगया क्योंकि वह तो इक़रार कर चुका है इसके बाद इन्कार करने की गुन्ज़ाइश ही नहीं। (दुरर, ग़ुरर)

मसअ्ला.3:– बाप ने नसब का इक़रार किया, यानी यह कहा, कि यह लड़का मेरा है फिर अपने इस इक़रार ही से मुन्किर है कहता है मैंने इक़रार नहीं किया है बेटा गवाहों से साबित कर सकता है। इस बारे में शहादत मक़बूल है और एक शख़्स ने यह इक़रार किया था कि फ़ुलां शख़्स मेरा भाई है यह इक़रार बेकार है। (दुरर, ग़ुरर)

मसअ्ला.4:– दो तुवाम बच्चे (जुड़वां बच्चे) पैदा हुए, यानी दोनों एक हमल से पैदा हुए, दोनों के माबैन छः माह से कम फ़ासिला है इनमें से एक के नसब का इक़रार, दूसरे का भी इक़रार है एक का नसब जिससे साबित होगा दूसरे का भी उससे साबित होगा। (दुरर, ग़ुरर)

मसअ्ला.5:– एक शख़्स ने कहा मैं फ़ुलां का वारिस् नहीं हूँ फिर कहता है मैं उसका वारिस् हूँ और मीरास् पाने की वजह भी बयान करता है यह दावा सही है और यहाँ तनाक़ुज़ मानेअ् दावा

(यहाँ टकराव दावे के खिलाफ) नहीं कि नसब में तनाकुज़ मुआफ है और अगर यह दावा करता है कि यह लोग मेरे चचा ज़ाद भाई हैं यह दावा सही नहीं, जब तक दादा का नाम न बताये, और भाई का दावा किया, तो इस के लिये दादा का नाम ज़िक्र करना ज़रूरी नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– यह दावा किया फुलाँ मेरा भाई है या इसके अलावा या उस किस्म के दावे, कि मुद्दा अलैह इक़रार भी करे तो लाज़िम नहीं, यह दावे मस्मूअ् न होंगे जब तक माल का ताल्लुक़ न हो। मस्लन उसने दावा किया, कि फुलां शख़्स मेरा भाई है उसने इन्कार कर दिया, कि उसका भाई नहीं हूँ। क़ाज़ी दरयाफ़्त करेगा क्या उसके पास तेरे बाप का तर्का है जिसका तू दावा करना चाहता है या नफ़का या और कोई हक़ है, कि बिग़ैर भाई बनाये हुए उस हक़ को नहीं ले सकता। अगर कहेगा कि मेरा मतलब यही है तो सुबूते नसब पर गवाह लिये जायेंगे और मुक़दमा चलेगा वरना मुक़दमा की समाअ़त न होगी और अगर यह दावा करता है कि फुलां मेरा बाप है वह इन्कार करता है तो माल या हक़ का ताल्लुक़ हो, या न हो बहर हाल दावे की समाअ़त होगी और गवाहों से नसब साबित किया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– नसब व विरासत का दावा है गवाहों से नसब साबित करना चाहता है इसके लिये ख़स्म (मद्दे मकाबिल) होना ज़रूरी है। वारिस् या दाइन या मदयून या मूसा'लहू या वसी के मुक़ाबिल में सुबूत पेश करना होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– मुद्दई ने एक शख़्स को हाज़िर करके यह दावा किया कि मेरे बाप का इस पर फुलां हक़ है। वह इक़रार करे, या इन्कार, बहर हाल उसको गवाहों से नसब साबित करना होगा और अगर अपने बाप की मीरास् का उस पर दावा किया और उसने इक़रार कर लिया, हुक्म दिया जायेगा कि मुद्दई को देदे, और यह फ़ैसला उसी तक महदूद है उसके बाप से ताल्लुक नहीं उसका बाप फ़र्ज़ करो ज़िन्दा था, और आगया तो जिसने उसका माल दिया है उससे वसूल करेगा, और वह बेटे से लेगा, और अगर वह शख़्स जिसको लाया है मुन्किर है तो उससे कहा जायेगा तू गवाहों से अपने बाप का मरना साबित कर, और यह कि तू उसका वारिस् है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– एक बच्चे के मुताल्लिक़ एक मुस्लिम और एक काफ़िर दोनों दावा करते हैं मुसलमान यह कहता है यह मेरा ग़ुलाम है और काफ़िर यह कहता है यह मेरा बेटा है वह बच्चा आज़ाद और उस काफ़िर का बेटा क़रार दिया जायेगा। दोनों ने उसके बेटा होने का दावा किया तो मुस्लिम का बेटा क़रार दिया जायेगा। (दुरर, ग़ुरर)

मसअ्ला.10:– शौहर वाली औरत एक बच्चे की निस्बत कहती है यह मेरा बच्चा है उसका दावा दुरुस्त नहीं, जब तक विलादत की शहादत कोई औरत न दे, और दाई की तन्हा शहादत इस बारे में काफ़ी है क्योंकि यहाँ फ़क़त इतनी ही बात की ज़रूरत है कि यह बच्चा इस औरत से पैदा है। रहा नसब उसके लिए शहादत की ज़रूरत नहीं, शौहर वाली होना काफ़ी है और अगर औरत मोअ्तद्दा (इद्दत वाली) हो, तो कामिल शहादत की ज़रूरत है यानी दो मर्द, या एक मर्द दो औरत, मगर जबकि हमल ज़ाहिर हो, या शौहर ने हमल का इक़रार किया हो, तो वही विलादत की शहादत एक औरत की काफ़ी होगी और अगर न शौहर वाली हो, न मोअ्तद्दा हो, तो फ़क़त उस औरत का कहना, कि मेरा बच्चा है काफ़ी है क्योंकि यहाँ किसी से नसब का ताल्लुक़ नहीं। (हिदाया)

मसअ्ला.11:– शौहर वाली औरत ने कहा मेरा बच्चा है और शौहर उसकी तस्दीक़ करता है तो किसी शहादत की ज़रूरत नहीं, न मर्द की, न औरत की। (हिदाया)

मसअ्ला.12:– बच्चे के मुताल्लिक़ मियाँ, बीवी का झगड़ा है शौहर कहता है यह मेरा बच्चा है और दूसरी औरत से है इससे नहीं, और औरत कहती है यह मेरा बच्चा है इस ख़ाविन्द से नहीं, बल्कि दूसरे ख़ाविन्द से, फ़ैसला यह है कि वह उन्हीं दोनों का बच्चा है यह उस वक़्त है कि बच्चा छोटा है जो बता न सकता हो, कि उसके बाप, माँ कौन हैं और अगर इतना हो, कि अपने को बता सके,

तो वह जिसकी तस्दीक़ करे, उसी का बेटा है। (दुरर, गुरर)

मसअ्ला.13:– लड़का शौहर के क़ब्ज़े में है और वह यह कहता है यह मेरा लड़का दूसरी बीवी से है। औरत कहती है यह मेरा लड़का तुझी से है यहाँ शौहर का क़ौल मोअ्तबर है और अगर लड़का औरत के क़ब्ज़े में है औरत कहती है यह मेरा लड़का पहले शौहर से है और शौहर कहता है यह मेरा लड़का तुझसे है इसमें भी शौहर का क़ौल मोअ्तबर है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– शौहर के क़ब्ज़े में बच्चा है उसने यह दावा किया कि यह मेरा बच्चा दूसरी ज़ौजा से है दूसरी औरत से नसब साबित होगया, उसके बाद औरत दावा करती है कि मेरा बच्चा दूसरे शौहर से है और बच्चा औरत के क़ब्ज़े में है उसके बाद शौहर ने दावा किया, कि यह मेरा बच्चा दूसरी औरत से है। अगर उनका बाहम निकाह मारूफ़ व मशहूर हो, दोनों का क़ौल ना'मोअ्तबर, बल्कि यह इन्हीं दोनों का क़रार पायेगा अगर निकाह मारूफ़ व मशहूर न हो, तो औरत का क़ौल मोअ्तबर हैं। (आलमगीरी)

मुतफ़र्रिक़ात

मसअला.1:– मुद्दा'अ़लैह को जब मालूम हो कि मुद्दई का दावा हक़ व दुरुस्त है तो उसे इन्कार करना जाइज़ नहीं, मगर बाज़ जगह, वह यह है कि मुश्तरी ने मबीअ् में ऐब का दावा किया अगर मुद्दा'अ़लैह यानी बाइअ् इक़रार कर लेता है तो चीज़ वापस करदी जायेगी मगर बाइअ् अपने बाइअ् पर वापस नहीं कर सकता, यूंही वसी (वसियत करने वाला) को मालूम है कि दैन है और ख़ुद ही इक़रार करले मुद्दई को गवाहों से साबित करने का मौक़ा न दे, तो यह दैन ख़ुद उसकी ज़ात पर वाजिब होजायेगा रुजूअ् न कर सकेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– हक़्क़े मजहूल पर हल्फ़ नहीं दिया जाता, मगर इन चन्द मवाक़ेअ् में **(1)**वसी यतीम **(2)**मुतवल्ली वक़्फ़ क़ाज़ी के नज़्दीक मुत्तहिम हों **(3)**रहन मजहूल मस्लन एक कपड़ा रहन रखा, **(4)**दावाए सरक़ा (चोरी का दावा) **(5)**दावाए ग़सब **(6)**अमीन की ख़ियानत। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– एक शय के मुताल्लिक़ ख़रीदारी की ख़्वाहिश करना, यानी यह कि मेरे हाथ बैअ् करदो, या हिबा की ख़्वास्तगारी (दरख़्वास्त) करना, या यह दरख़्वास्त करना, कि इसे मेरे पास अमानत रखदो, या मेरे किराये में देदो यह सब दावाए मिल्क की मानेअ् (माल के दावे की रोक) हैं यानी अब उस चीज़ के मुताल्लिक़ मिल्क का दावा नहीं कर सकता। (दुरर, गुरर)

मसअ्ला.4:– लौंडी के मुताल्लिक़ यह दरख़्वास्त की कि मुझसे उसका निकाह कर दिया जाये अब उसके मुताल्लिक़ मिल्क का दावा नहीं कर सकता। हुर्रा औरत (आज़ाद औरत) से निकाह की ख़्वास्तगारी करना, दावाए निकाह को मना करता है यानी अब यह दावा नहीं कर सकता कि मेरी ज़ौजा है। (दुरर, गुरर)

इक़रार का बयान

इक़रार करने वाले ने जिस शय का इक़रार किया वह कुरआन व हदीस व इजमाअ् सब से साबित है कि इक़रार उस अम्र की दलील है कि मुक़िर (इक़रार करने वाला) के ज़िम्मे वह हक़ साबित है जिसका उसने इक़रार किया।

अल्लाह अ़ज़्ज़ वजल्ल फ़रमाता है।

﴿وَليملل الذى عليه الحق واليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا﴾

"जिस के ज़िम्मे हक़ है वह इमला करे (तहरीर लिखवाये) और अल्लाह से डरे जो उसका रब है और हक़ में से कुछ कम न करे"।

इस आयत में जिस पर हक़ है उसको इमला करने का हुक्म दिया है, और इमला उस हक़ का इक़रार है लिहाज़ा अगर इक़रार हुज्जत न होता तो उसके इमला करने का कोई फ़ायदा न था नीज़ उसको इससे मना किया गया कि हक़ के बयान करने में कमी करे इससे मालूम होता है कि जितने का इक़रार करेगा वह उसके ज़िम्मे लाज़िम होगा,

और इरशाद फ़रमाता है।

﴿ءَ اَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِيْ قَالُوْا اَقْرَرْنَا﴾

"अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले और हुजूर की मदद करने का जो अहद लिया गया उसके मुताल्लिक इरशाद हुआ कि **"क्या तुमने इकरार किया, और उस पर मेरा भारी जिम्मा लिया सबने अर्ज़ की, हमने इकरार किया"** इससे मालूम हुआ इकरार हुज्जत है वरना इकरार का मुतालबा न होता, और फरमाता है कि साथ कायम होने वाले होजाओ अल्लाह के लिये गवाह बन जाओ अगरचे वह गवाही खुद तुम्हारे ही खिलाफ हो। तमाम मुफस्सेरीन फरमाते हैं अपने खिलाफ शहादत देने के माना अपने जिम्मे हक का इकरार करना है। हदीसें इस बारे में मुतअद्दिद हैं। हज़रत माइज़ असलमी रदियल्लाहु तआला अन्हु को इकरार की वजह से रज्म करने का हुक्म फरमाया। गामिदिया सहाबिया पर भी रज्म का हुक्म उनके इकरार की बिना पर फरमाया। हज़रत अनीस रदियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया तुम उस शख्स की औरत के पास सुबह जाओ अगर वह इकरार करे, रज्म करदो। इन अहादीस से मालूम हुआ कि इकरार से जब हुदूद तक साबित होजाते हैं तो दूसरे किस्म के हुकूक ब'दर्जए औला साबित होंगे।

फायदा:– ब'ज़ाहिर इकरार मुकिर के लिये मुजिर (इकरार करने वाले के लिये नुकसान देह) है कि इसकी वजह से उस पर एक हक साबित व लाज़िम होजाता है जो अब तक साबित न था। मगर हकीकत में मुकिर के लिये इसमें बहुत फवाइद हैं। एक फायदा यह है कि अपने जिम्मे से दूसरे का हक साकित करना है यानी साहिबे हक के हक से बरी होजाता है, और लोगों की जुबान बन्दी हो जाती है कि इस मुआमले में अब इसकी मज़म्मत नहीं कर सकते। दूसरा फायदा यह है कि जिसकी चीज़ थी उसको देकर अपने भाई को नफा पहुँचाया और यह अल्लाह तआला की खुशनूदी हासिल करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। तीसरा फायदा यह है कि सबकी नज़रों में यह शख्स रास्त गो साबित होता है, और ऐसे शख्स की बन्दगाने खुदा तारीफ करते हैं और यह इसकी निजात का ज़रीआ है।

मस्अला.1:– किसी दूसरे के हक का अपने ज़िम्मे होने की ख़बर देना इकरार है। इकरार अगरचे ख़बर है मगर इसमें इन्शा के माना भी पाये जाते हैं यानी जिस चीज़ की ख़बर देता है वह उसके जिम्मे साबित हो जाती है अगर अपने हक की ख़बर देगा कि फुलां के जिम्मे मेरा यह हक है, यह दावा है, और दूसरे के हक की दूसरे के जिम्मे होने की ख़बर देगा तो यह शहादत है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.2:– एक चीज़ जो ज़ैद की मिल्क में है अम्र कहता है कि यह बकर की है अम्र का यह इकरार है जब कभी उम्र भर में अम्र उसका मालिक होजाये बकर को देना वाजिब होगा। यूंही एक गुलाम की निस्बत यह कहता है कि यह आज़ाद है इकरार सही है जब कभी इस गुलाम को खरीदेगा, आज़ाद होजायेगा और समन बाइअ् से वापस नहीं ले सकता क्योंकि उसके इकरार से बाइअ् को क्या ताल्लुक। किसी मकान की निस्बत कहता है यह वक्फ है जब कभी उसका मालिक होजाये, ख़्वाह ख़रीदे, या उसको विरासत में मिले यह मकान वक्फ करार पायेगा। इन मसाइल से मालूम हुआ कि इकरार ख़बर है। इन्शा होता तो न गुलाम आज़ाद होता, न मकान वक्फ होता, न उस चीज़ का देना लाज़िम होता। क्योंकि मिल्के गैर में इन्शाअ् सही नहीं है किसी शख्स पर इकराह (जबरदस्ती) करके तलाक या इताक का इकरार कराया गया यह इकरार सही नहीं है अपने निस्फ मकान मुशाअ् का किसी के लिये इकरार किया सही है। औरत ने ज़ौजियत का बिगैर गवाहों की मौजूदगी के इकरार किया यह इकरार सही है। यह सब मसाइल भी किसी की दलील हैं कि ख़बर है इन्शा नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.3:– एक शख़्स ने किसी बात का इकरार किया तो महज़ इस इकरार की बिना पर उस पर दावा नहीं होसकता यानी मुकिर लहू (जिसके लिये इकरार किया गया) यह नहीं कह सकता कि चूँकि उसने इकरार किया है लिहाज़ा मुझे यह हक दिलाया जाये कि यह एक ख़बर है, और उसमें किज़्ब (झूट) का भी एहतिमाल (शक) है हाँ अगर वह खुद अपनी रज़ा'मंदी से देदे तो यह जदीद हिबा होगा

और अगर यह दावा करे कि यह चीज़ मेरी है, और इसने खुद भी इक़रार किया है, या मेरा उसके जिम्मे इतना है कि उसने इसका इक़रार भी किया तो यह दावा मसमूअ़ होगा (सुना जायेगा)। फिर अगर मुद्दा'अलैह इक़रार से इन्कार करे तो उसको इस पर हल्फ़ नहीं दिया जायेगा कि इसने इक़रार किया है बल्कि उस पर कि यह चीज़ मुद्दई की नहीं है या मेरे जिम्मे उसका यह मुतालबा नहीं है इन बातों से मा'लूम हुआ कि इक़रार जुज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– इसके इन्शा होने के यह अह़काम हैं कि मुक़िर लहू ने इक़रार को रद् कर दिया तो रद् होजायेगा इसके बाद फिर अगर क़बूल करना चाहे तो नहीं कर सकता, और क़बूल करने के बाद अगर रद् करेगा तो रद् नहीं होगा। मुक़िर के इक़रार को रद् करदिया उसके बाद मुक़िर ने दोबारा इक़रार किया अगर क़बूल करेगा, तो कर सकता है क्योंकि यह दूसरा इक़रार है इक़रार की वजह से जो मिल्क स़ाबित होगी वह इन चीजों में नहीं स़ाबित होगी जो ज़ाइद हैं और हलाक हो चुकी हैं मस्लन बकरी का इक़रार किया तो उसका जो बच्चा मर चुका या खुद मूक़िर ने हलाक करदिया है मुक़िर'लहू इसका मुआवज़ा नहीं ले सकता इन बातों से मा'लूम होता है कि ये इन्शा है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– मुक़िर'लहू की मिल्क नफ़्से इक़रार से स़ाबित होजाती है। मुक़िर'लहु की तस्दीक़ उसके लिये दरकार नहीं, अल्बत्ता ह़क़्क़े रद् में यह तम्लीके जदीद है। रद् करने से रद् हो जायेगा। और मुक़िर'लहू ने तस्दीक़ करली, तो अब रद् नहीं होसकता अगर रद् करे भी तो रद् न होगा। और क़ब्ले तस्दीक़ मुक़िर'लहु उस वक़्त रद् कर सकता है जब ख़ास उसी मुक़िर'लहू का ह़क़ हो और अगर दूसरे का ह़क़ हो तो उसे रद् नहीं कर सकता। मस्लन एक शख़्स ने इक़रार किया कि यह चीज़ मैंने फ़ुलां के हाथ इतने में बैअ़ करदी है मुक़िर'लहु ने रद कर दिया, कि मैंने तुमसे कोई चीज़ नहीं ख़रीदी है इसके बाद वह कहता है मैंने तुमसे ख़रीदी है अब मुक़िर कहता है मैंने तुम्हारे हाथ नहीं बेची है बाइअ़ पर वह बैअ़ लाज़िम होगई, कि बाइअ़ व मुश्तरी में से एक का इन्कार बैअ़ के लिये मुज़िर नहीं, दोनों इन्कार करते, तो बैअ़ फ़स्ख़ होजाती। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– जो कुछ इक़रार किया है मुक़िर पर लाज़िम है उसमें शर्ते ख़्यार नहीं हो सकती, मस्लन दैन या ऐन का इक़रार किया, और यह कहदिया, कि मुझे तीन दिन का ख़्यार ह़ासिल है यह शर्त बातिल है अगरचे मुक़िर'लहु इसकी तस्दीक़ करता हो और माल लाज़िम है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– इक़रार के लिये शर्त यह है कि इक़रार करने वाला आ़क़िल, बालिग़ हो और इकराह व जब्र के साथ इक़रार न किया हो, आज़ाद होना, उसके लिये शर्त नहीं, मगर गुलाम ने माल का इक़रार किया, फ़िलहाल नाफ़िज़ नहीं, बल्कि आज़ाद होने के बाद नाफ़िज़ होगा गुलाम के वह इक़रार जिन में कोई तोहमत न हो, फ़िलह़ाल नाफ़िज़ हैं। जैसे हुदूद व क़िसास के इक़रार, और जिस इक़रार में तोहमत होसके, मस्लन माल का इक़रार यह आज़ाद होने के बाद नाफ़िज़ होगा। माजून वह इक़रार जो तिजारत से मुताल्लिक़ है। फ़ुलां दुकानदार का मेरे ज़िम्मे इतना बाक़ी है यह फ़िलह़ाल नाफ़िज़ है और जो तिजारत से ता'ल्लुक़ न रखता हो वह बा'दे इत्क़ नाफ़िज़ होगा जैसे जनायत का इक़रार। ना'बालिग़ जिसको तिजारत की इजाज़त है गुलाम के हुक्म में है या'नी तिजारत के मुताल्लिक़ जो इक़रार करेगा नाफ़िज़ होगा और जो तिजारत के क़बील से नहीं वह नाफ़िज़ नहीं, मस्लन यह इक़रार, कि फ़ुलां की मैंने किफ़ालत की है। नशा वाले ने इक़रार किया. अगर नशा का इस्तेमाल ना'जाइज़ तौर पर किया है इसका इक़रार स़ही है। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.8:– मुक़िर बिही या'नी जिस चीज़ का इक़रार किया है वह मा'लूम हो, या मजहूल दोनों सूरतों में इक़रार स़ही है मस्लन यह इक़रार किया था कि फ़ुलां शख़्स का मेरे ज़िम्मे कुछ है और उसका सबब बैअ़ या इजारा बताया, मस्लन मैंने कोई चीज़ उससे ख़रीदी थी या उसके हाथ बेची थी, या उसको किराये पर दी थी, या किराये पर ली थी, कि इन सब में जिहालत मुज़िर है। लिहाज़ा यह इक़रार स़ही नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– इक़रार के लिये यह भी शर्त है कि मुक़िर बिही की तस्लीम वाजिब हो(यानी जिस चीज़ का इकरार किया है उसको सिपुर्द करना लाज़िम हो)अगर ऐन का इक़रार है तो बिऐनेही उसी चीज़ की तस्लीम वाजिब है और दैन का इक़रार है तो मिस्ल की तस्लीम वाजिब है और अगर उसकी तस्लीम वाजिब न हो तो इक़रार सही नहीं, मस्लन कहता है मैंने उसके हाथ एक चीज़ बैअ् की है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– मुक़िर की जिहालत इक़रार को बातिल कर देती है मस्लन यह कहता है कि तुम्हारा हज़ार रूपया हम में किसी पर बाक़ी है। हाँ अगर अपने साथ अपने गुलाम को मिलाकर इस तरह इक़रार करे, तो सही है। मुक़िर'लहु की जिहालत अगर फ़ाहिश है तो इक़रार सही नहीं, वरना सही है। जिहालते फ़ाहिशा की मिसाल यह है कि मेरे ज़िम्मे किसी के हज़ार रूपये हैं थोड़ी सी जिहालत हो, उसकी मिसाल यह है उन दोनों में एक का मेरे ज़िम्मे इतना रूपया है। मुक़िर बताने पर मजबूर नहीं किया जायेगा। हाँ अगर उन दोनों ने उस पर दावा किया तो दोनों के मुक़ाबिल में उस पर हल्फ़ दिया जायेगा। (बहरुर्राइक)

मसअ्ला.11:– मजहूल शय का इक़रार किया, मस्लन फ़ुलां की मेरे ज़िम्मे एक चीज़ है, या उसका एक हक़ है तो बयान करने पर मजबूर किया जायेगा और उसको ऐसी चीज़ बयान करनी होगी, जिसकी कोई क़ीमत हो, दरयाफ़्त करने पर यह नहीं कह सकता कि गेंहूँ का एक दाना, मिट्टी का एक ढेला, यह कह सकता है कि एक पैसा उसका है क्योंकि इसके लिये क़ीमत है। हक़ के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया गया कि उसका क्या हक़ तेरे ज़िम्मे है उसने कहा मेरी मुराद इस्लामी हक़ है यह मक़बूल नहीं, कि उर्फ़ के ख़िलाफ़ है। (बहर) अगर उसने यह कहा, कि फ़ुलां का मेरे ज़िम्मे हक़ है इस्लामी हक़ बिग़ैर फ़ासिला तो यह बयान मक़बूल है। (रद्दुल'मोहतार)

मसअ्ला.12:– मुक़िर ने शय मजहूल का इक़रार किया, और उससे बयान कराया गया, मुक़िर'लहू यह कहता है कि मेरा मुतालबा इससे ज़्यादा है जो उसने बयान किया है तो क़सम के साथ मुक़िर का क़ौल मोअ्तबर है। (हिदाया)

मसअ्ला.13:– यह कहा कि मैंने फ़ुलां की चीज़ ग़सब की है उसका बयान ऐसी चीज़ से करना होगा, जिसमें तमानोअ् जारी हो, यानी दूसरे की जानिब से रुकावट पैदा की जाये, ऐसी चीज़ बयान नहीं कर सकता, जिसमें तमानोअ् न होता हो, अगर बयान में यह कहा कि मैंने इसके बेटे या बीवी को छीन लिया है तो मक़बूल नहीं, कि यह माल नहीं, और अगर मकान या ज़मीन को बताता है तो मान लिया जायेगा अगरचे इसमें इमामे आज़म रहमतुल्लाहि तआला के नज़्दीक ग़सब नहीं होता, मगर उर्फ़ में इसको भी ग़सब कहते हैं। (हिदाया वग़ैरहा)

मसअ्ला.14:– यह इक़रार किया कि मेरे ज़िम्मे फ़ुलां की एक चीज़ है और बयान में ऐसी चीज़ ज़िक्र की, तो माले मुतक़व्विम नहीं है और मुक़िर'लहू ने उसकी बात मानली, तो मुक़िर'लहू को वही चीज़ मिलेगी, यूंही ग़सब में ऐसी चीज़ बयान की कि वह बयान सही नहीं, मगर मुक़िर'लहू ने मान लिया, तो उसको वही चीज़ मिलेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– यह कहा कि मेरे पास फ़ुलां की वदीअत (अमानत) है तो उसका बयान ऐसी चीज़ से करना होगा जो अमानत रखी जाती है, और अगर मुक़िर'लहू दूसरी चीज़ को अमानत रखना बताता है तो मुक़िर की बात क़सम के साथ मोअ्तबर है। अमानत का इक़रार किया, और एक कपड़ा लाया कि यह मेरे पास अमानतन रखा था और इसमें मेरे पास यह ऐब पैदा होगया तो उसपर ज़मान वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– अगर माल का इक़रार है मस्लन कहा फ़ुलां का मेरे ज़िम्मे माल है तो अगरचे कम व बेश सबको माल कहते हैं मगर उर्फ़ में क़लील को माल नहीं कहते कम से कम उसका बयान एक दिरहम से किया जाये, और लफ़्ज़ माले अज़ीम से निसाबे ज़कात को बयान करना होगा इससे कम बयान करेगा तो मोअ्तबर नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– मुक़िर'लहू को मालूम है कि मुक़िर अपने इक़रार में झूटा है तो मुक़िर'लहू को वह माल लेना दयानतन जाइज़ नहीं हाँ अगर मुक़िर ख़ुशी के साथ देता है तो लेना जाइज़ है कि यह जदीद हिबा है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– यह कहा मेरे पास, या मेरे साथ, या मेरे घर में, या मेरे सन्दूक़ में उसकी फ़ुलां चीज़ है यह अमानत का इक़रार है, और अगर यह कहा, मेरा कुल माल उसके लिये है, या जो कुछ मेरी मिल्क है, उसकी है यह इक़रार नहीं बल्कि हिबा है इसमें हिबा के शराइत का एअ्तिबार होगा कि क़ब्ज़ा होगया तो तमाम है, वरना नहीं। फ़ुलां ज़मीन, जिसके हुदूद ये हैं मेरे फ़ुलां बच्चे की है, यह हिबा है और इसमें क़ब्ज़े की ज़रूरत नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.19:– यह कहा कि फ़ुलां के मुझ पर सौ रूपये हैं, या मेरी जानिब सौ रूपये हैं यह दैन का इक़रार है। मुक़िर यह कहे कि वह रूपये अमानत हैं उसकी बात नहीं मानी जायेगी मगर जबकि इक़रार के साथ मुत्तसिलन अमानत होना बयान किया तो उसकी बात मोअ्तबर है। (ख़ानिया)

मसअ्ला.20:– यह कहा मुझे फ़ुलां को सौ रूपये देने हैं उसके कहने से उसपर देना लाज़िम नहीं। जब तक उसके साथ यह लफ़्ज़ न कहे, कि वह मेरे जिम्मे हैं, या मुझपर, या मेरी गर्दन पर हैं, या वह दैन हैं, या हक़्क़े लाज़िम हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.21:– यह कहा कि मेरे माल में या मेरे रूपये में उसके हज़ार रूपये हैं यह इक़रार है फिर अगर यह हज़ार रूपये मुमताज़ हों, वदीअत का इक़रार है, वरना शिरकत का। (आलमगीरी)

मसअ्ला.22:– औरत ने शौहर से कहा जो कुछ मेरा चाहिए था मैंने तुमसे पा लिया यह महर वसूल पाने का इक़रार नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.23:– बाप ने यह कहा, कि यह मकान मेरे छोटे बच्चों का है तो इक़रार है उसकी औलाद में तीन छोटे बच्चों का क़रार पायेगा बल्कि उर्दू के मुहावरे के लिहाज से दो बच्चों का होगा यूंही अगर यह कहा कि मेरे इस मकान का सुलुस् फ़ुलां के लिये है तो हिबा है, और यह कहा, कि इस मकान का सुलुस् फ़ुलां का है तो इक़रार है। (ख़ानिया)

मसअ्ला.24:– एक शख़्स ने कहा, मेरे इतने रूपये तुम्हारे जिम्मे हैं दो, उसने कहा थैली सिला रखो। यह इक़रार नहीं कि उससे इस्तेहज़ा (मज़ाक़ में कहना) मक़सूद होता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.25:– एक शख़्स ने कहा, तुम्हारे जिम्मे मेरे एक हज़ार रूपये हैं उसने कहा कि इनको गिनकर लेलो या मुझे इतने दिनों की मोहलत दो, या मैंने तुमको अदा कर दिये, या तुमने मुआफ़ कर दिये, या तुमने मुझ पर सदक़ा कर दिये, या तुमने मुझे हिबा कर दिये, या मैंने तुम्हें ज़ैद पर उनका हवाला कर दिया था, या कहा, अभी मीआद पूरी नहीं हुई, या कल दूँगा, या अभी मयस्सर नहीं, या कहा, तुम किस क़दर तक़ाज़े करते हो, या वल्लाह मैं तुम्हें अदा नहीं करूंगा, या तुम मुझसे आज नहीं ले सकते, या कहा ठहर जाओ मेरा रूपया आजाये, या मेरा नौकर आजाये, या मुझसे कौन ले सकता है, या किसी को कल भेज देना, वह क़ब्ज़ा कर लेगा इन सब सूरतों में एक हज़ार का इक़रार होगया बशर्ते क़राइन से यह न मालूम होता हो यह बात हँसी मज़ाक़ की है। अगर मज़ाक़ से यह कहा, और गवाह भी इसकी शहादत देते हों तो कुछ नहीं, और अगर फ़क़त यह दावा करता है कि मज़ाक़ में मैंने कहा, तो इसकी तस्दीक़ नहीं की जायेगी। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.26:– एक ने दूसरे से कहा, मेरे सौ रूपये जो तुम्हारे जिम्मे हैं, देदो। क्योंकि जिन लोगों के मेरे जिम्में हैं वह पीछा नहीं छोड़ते। दूसरे ने कहा, उनको मुझपर हवाला करदो, या उन्हें मेरे पास लाओ मैं ज़ामिन होजाऊँगा, या कहा क़सम खाजाओ कि यह माल तुम्हें नहीं पहुँचा है। यह सब सूरतें इक़रार की हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.27:– एक ने दूसरे पर हज़ार रूपये का दावा किया मुद्दआ'अलैहि ने कहा उन में से कुछ लेचुके हो या पूछा उनकी मीआद कब है यह हज़ार का इक़रार है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.28:– बाज़ वुरसा पर दावा किया। मय्यित के ज़िम्मे मेरा इतना कर्ज़ है उसने कहा मेरे हाथ में तर्का में से कोई चीज़ नहीं है यह दैन का इक़रार नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.29:– एक शख़्स ने कहा, तुमने मुझसे इतने रूपये ना'हक़ ले लिये उसने कहा ना'हक़ मैंने नहीं लिये हैं यह रूपये लेने का इक़रार नहीं और अगर जवाब में यह कहा कि मैंने वह तुम्हारे भाई को देदिये तो रूपये लेने का इक़रार होगया और उसके भाई को देदिये हैं उसका साबित करना उसके ज़िम्मे है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.30:– दस रूपये का दावा किया मुद्दा'अलैह ने कहा, इनमें से पाँच देने हैं, या उनमें से पाँच बाक़ी हैं तो दस रूपये लेने का इक़रार होगया, और अगर यह कहा, कि पाँच बाक़ी रह गये हैं तो दस का इक़रार नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.31:– फुलां को ख़बर करदो, या उसे बतादो, या उससे कहदो, या उसे बिशारत देदो, या तुम गवाह होजाओ कि मेरे ज़िम्मे उसके इतने रूपये हैं इन सब सूरतों में इक़रार होगया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.32:– फुलां शख़्स का मेरे जिम्मे कुछ नहीं है उससे यह न कहना, कि उसके मेरे ज़िम्मे इतने रूपये हैं, या उसको इसकी ख़बर न देना कि उसके मेरे ज़िम्मे इतने हैं यह इक़रार नहीं, और अगर पहला जुमला नहीं कहा, सिर्फ़ इतना ही कहा, कि फुलां शख़्स को खबर न देना, या उससे यह न कहना कि उसके मेरे ज़िम्मे इतने हैं यह इक़रार है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.33:– यह कहा कि मेरी औरत से यह बात मख़्फ़ी रखना कि मैंने उसे तलाक़ दी है। यह तलाक़ का इक़रार है और अगर यह कहा, कि उसे ख़बर न देना कि मैंने उसको तलाक़ देदी है यह इक़रारे तलाक़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– यह कहा कि जो कुछ मेरे हाथ में है, या जो चीज़ मेरी तरफ़ मन्सूब है वह फुलां की है यह इक़रार है और अगर यह कहा कि मेरा कुल माल, या जिस चीज़ का मैं मालिक हूँ वह फुलां के लिये है यह हिबा है अगर उसे दे देगा, सही होजायेगा वरना नहीं, और देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.35:– एक शख़्स ने हालते सेहत में यह इक़रार किया कि जो कुछ मेरे मकान फुरूश व जुरूफ़ (बिस्तर व बर्तन) वग़ैरहा हैं यह सब मेरी लड़की के हैं और उस शख़्स के गाँव में भी कुछ जानवर वग़ैरहा हैं। और यहाँ भी कुछ जानवर रहते हैं जो दिन में जंगल को चरने के लिये जाते हैं रात में आ जाते हैं। मगर उस शख़्स की सुकूनत शहर में है तो जो चीजें या जानवर उस मकान में सुकूनत हैं वह सब इक़रार में दाख़िल हैं और उनके अलावा बाक़ी चीज़ें दाख़िल नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.36:– मर्द ने ब'दुरुस्ती अक़्ल व हवास हालते सेहत में यह इक़रार किया कि मेरे बदन पर जो कपड़े हैं उनके इलावा जो कुछ मेरे मकान में है सब मेरी औरत का है वह शख़्स मरगया, और बेटा छोड़ा, बेटा दावा करता है कि मेरे बाप का तर्का है मेरा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। औरत को जिन चीजों की निस्बत यह इल्म है कि शौहर ने बैअ् या हिबा के ज़रिआ से उसे मालिक कर दिया है, या महर के एवज़ में जो कुछ हो सकता है, उनको ले सकती है, और उस इक़रार को हुज्जत बना सकती है और जिन चीजों की औरत मालिक नहीं है उनको उस इक़रार की वजह से लेना दयानतन जाइज़ नहीं! मगर क़ाज़ी इन तमाम चीजों के मुताल्लिक औरत के लिये ही फ़ैसला करेगा। जो ब'वक़्ते इक़रार उस मकान में मौजूद थी जब कि गवाहों से उन चीज़ों का मकान में ब'वक़्ते इक़रार होना साबित हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.37:– इस क़िस्म की बात जो दूसरे के कलाम के बाद होती है अगर जवाब के लिये मुतअय्यन है तो जवाब है और इब्तिदाए कलाम के लिये मुतअय्यन है या जवाब व इब्तिदा दोनों का एहतिमाल हो तो इससे इक़रार साबित नहीं होगा और अगर जवाब में हाँ कहा, तो यह इक़रार है। मसलन किसी ने यह कहा, मेरा कपड़ा देदो, मेरे इस गुलाम का कपड़ा देदो, मेरे इस मकान का

दरवाजा खोलदो, मेरे इस घोड़े पर काठी कसदो, या इसकी लगाम देदो, इन बातों के जवाब में दूसरे ने कहा, हाँ तो यह हाँ कहना इक़रार है कि कपड़ा और गुलाम और मकान और घोड़ा इसका है। एक शख़्स ने कहा, क्या तुम्हारे ज़िम्मे मेरा यह नहीं उसने कहा हाँ यह इक़रार हो गया। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.38:– जो बोल सकता है उसका सर से इशारा करना इक़रार नहीं, माल, इत्क़, (गुलाम आज़ाद करना) तलाक़, बैअ़, (खरीद ो फराख़्त करना) निकाह, इजारा, हिबा, किसी का इक़रार इशारे से नहीं हो सकता। इफ़्ता यानी आलिम से किसी ने मसअ्ला पूछा उसने सर से इशारा कर दिया। नसब, इस्लाम, कुफ़्र, अमान काफ़िर, मोहरिम का शिकार की तरफ़ इशारा करना रिवायते हदीस में शैख़ (उस्ताद) का सर से इशारा करना मोअ्तबर है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.39:– दैन मुअज्जल का इक़रार किया, यानी यह कहा फ़ुलाँ का मेरे ज़िम्मे इतना दैन है। जिसकी मीआ़द यह है मुक़िर'लहू ने कहा मीआ़द पूरी होचुकी है फ़ौरन देना वाजिब होगा और मीआ़द बाक़ी होना दावा है जिसके लिये सुबूत दरकार है। इसी तरह उसके पास कोई चीज है कहता है, यह चीज़ फ़ुलां की है मैंने किराये पर ली है उसके लिये इक़रार होगया, और किराये पर उसके पास होना एक दावा है जिसके लिये सुबूत की ज़रूरत है अगर मुक़िर मीआ़द और इजारा को गवाहों से साबित करदे, फ़बेहा वरना मुक़िर'लहू पर हल्फ़ दिया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.40:– इक़रार किया कि मेरे ज़िम्मे फ़ुलां शख़्स के इस क़िस्म के रूपये हैं। मुक़िर'लहू यह कहता है कि इस क़िस्म के नहीं हैं बल्कि इस क़िस्म के हैं इस सूरत में मुक़िर का क़ौल मोअ्तबर है जैसे रूपये का इक़रार किया है वैसे ही वाजिब हैं। अगर यह कहा, कि मैंने फ़ुलां के लिये सौ रूपये की ज़मानत की है जिसकी मीआ़द एक माह है मुक़िर'लहू ने मीआ़द से इन्कार किया, कहता है वह फ़ौरन देना है। इस सूरत में मुक़िर का क़ौल मोअ्तबर है। (हिदाया)

एक चीज़ के इक़रार में दूसरी चीज़ कहाँ दाख़िल है

मसअ्ला.41:– एक सौ एक रूपये कहा तो कुल रूपये ही हैं और एक सौ एक थान, या एक सौ दो थान कहा, तो एक सौ के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया जायेगा कि इससे क्या मुराद है टोकरी में आम कहा तो टोकरी और आम दोनों का इक़रार है। अस्तबल में घोड़ा कहा, तो सिर्फ़ घोड़ा ही देना होगा, अस्तबल का इक़रार नहीं। अँगूठी का इक़रार है तो हल्क़ा (गोल छल्ला) और नग दोनों चीज़ें देनी होंगी तलवार का इक़रार है तो फल (तलवार का धार वाला हिस्सा (अमीनुल क़ादरी)) और क़ब्ज़ा (तलवार का दस्ता) और नियाम और तस्मा सबका इक़रार है। मसेहरी का इक़रार है तो चारों डन्डे और चौखटा और पर्दा भी इस इक़रार में शामिल हैं। बैठन (वह कपड़ा जिसमें सौदागर क़ीमती कपड़े बांधते हैं) में थान या रूमाल में थान कहा, तो बैठन और रूमाल का इक़रार है उनको देना होगा। (दुर्रेमुख़्तार, हिदाया)

मसअ्ला.42:– इस दीवार से उस दीवार तक फ़ुलां का है। दोनों दीवारों के दरम्यान जो कुछ है वह मुक़िर'लहू के लिये है और दीवार इक़रार में शामिल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.43:– दीवार का इक़रार किया, कि फ़ुलां की चीज़ है फिर यह कहता है मेरी मुराद यह थी कि दीवार उसकी है ज़मीन उसकी नहीं, इसकी बात नहीं मानी जायेगी। दीवार और ज़मीन दोनों चीज़ें मुक़िर लहू को दिलाई जायेंगी। यूंही ईंट के सुतून बने हुए हैं उनका इक़रार किया, तो उनके नीचे की ज़मीन भी मुक़िर लहू की होगी। और लकड़ी का सुतून है इसका इक़रार किया, तो सिर्फ़ सुतून मुक़िर'लहू का है जमीन नहीं, फिर अगर सुतून के निकाल लेने में मुक़िर का ज़रर न हो, तो मुक़िर'लहू सुतून निकाल लेजाये। अगर ज़रर है, तो मुक़िर सुतून की उसको क़ीमत देदे (आलमगीरी)

मसअ्ला.44:– यह कहा कि इस घर की इमारत, या इसका अ़मला फ़ुलां शख़्स का है तो सिर्फ़ इमारत का इक़रार है ज़मीन इक़रार में दाख़िल नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.45:– यह इक़रार किया कि मेरे बाग़ में यह दरख़्त फ़ुलां का है तो वह दरख़्त और उसकी मोटाई जितनी है उतनी ज़मीन भी मुक़िर'लहू को दिलाई जायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.46:– इस दरख़्त में जो फल हैं फ़ुलां के हैं यह सिर्फ़ फलों का इक़रार है दरख़्त का इक़रार नहीं, यूंही यह इक़रार किया कि इस खेत में फ़ुलां की ज़राअ़त (खेती) है यह सिर्फ़ ज़राअ़त का इक़रार है ज़मीन इक़रार में दाख़िल नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.47:– यह इक़रार किया कि यह ज़मीन फ़ुलां की है और इसमें ज़राअ़त मौजूद है तो ज़मीन व ज़राअ़त दोनों मुक़िर'लहू को दिलाई जायेंगी और अगर मुक़िर ने गवाहों से क़ाज़ी के फ़ैसले से क़ब्ल या बाद यह साबित कर दिया, कि ज़राअ़त मेरी है तो गवाह क़बूल होंगे और ज़राअ़त इसी को मिलेगी। अगर ज़मीन का इक़रार किया, और उसमें दरख़्त हैं तो दरख़्त भी मुक़िर लहू को दिलाये जायेंगे और मुक़िर गवाहों से यह साबित करे, कि दरख़्त मेरे हैं तो गवाह क़बूल नहीं मगर जब कि इक़रार ही यूँ किया था कि ज़मीन उसकी है और दरख़्त मेरे हैं तो गवाह मक़बूल हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.48:– इसके पास सन्दूक़ है जिस में सामान है कहता है सन्दूक़ फ़ुलां शख़्स का है और इसमें जो कुछ सामान है वह मेरा है या यह कहा, यह मकान फ़ुलां शख़्स का है और जो कुछ माल असबाब है मेरा है तो सिर्फ़ सन्दूक़ या मकान का इक़रार हुआ सामान वग़ैरा इक़रार में दाख़िल नहीं। (खानिया)

मसअ्ला.49:– थैली में रूपये हैं यह कहा, कि यह थैली फ़ुलां की है तो रूपये भी इक़रार में दाख़िल हैं। मुक़िर कहता है कि मेरी मुराद सिर्फ़ थैली थी, रूपये का मैंने इक़रार नहीं किया, इसकी बात मोअ्तबर नहीं यूंही अगर यह कहा कि यह टोकरी फ़ुलां की है और इसमें फल हैं तो फल भी इक़रार में दाख़िल हैं यह मटका फ़ुलां का है और इसमें सिर्का है तो सिर्का भी इक़रार में दाख़िल है और अगर बोरी में ग़ल्ला है और यह कहा, कि यह बोरी फ़ुलां की है फिर कहता है सिर्फ़ बोरी उसकी है ग़ल्ला मेरा है तो इसकी बात मानली जायेगी। (आलमगीरी)

हमल का इक़रार या हमल के लिये इक़रार

मसअ्ला.50:– हमल का इक़रार, या हमल के लिये इक़रार दोनों सही हैं हमल का इक़रार यानी लौंडी के पेट में जो बच्चा है या जानवर के पेट में जो बच्चा है इसका इक़रार दूसरे के लिये कर देना, कि वह फ़ुलां का है सही है। हमल से मुराद यह है जिसका वुजूद वक़्ते इक़रार मज़नून हो। वरना इक़रार सही नहीं। मज़नून होने का मतलब यह है कि अगर वह औरत मन्कूहा हो, तो छः माह से कम में और मोअ्तद्दा हो, तो दो साल से कम में बच्चा पैदा हो, और अगर जानवर का हमल हो, तो इसकी मुद्दत कम से कम जो कुछ हो सकती है उसके अन्दर बच्चा पैदा हो और यह बात माहिरीन से मालूम हो सकती है कि जानवर में बच्चा पैदा होने की क्या मुद्दत है। बाज़ उलमा ने फ़रमाया, कि बकरी में अस्ल मुद्दत हमल चार माह है और दूसरे जानवरों में छः माह (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.51:– हमल के लिये इक़रार किया कि यह चीज़ उस बच्चे की है जो फ़ुलां औरत के पेट में है इसमें शर्त यह है कि वुजूब का सबब ऐसा बयान करे, जो हमल के लिये होसकता हो और अगर ऐसा सबब बयान किया, जो मुम्किन न हो तो इक़रार सही नहीं। पहले की मिसाल इर्स व वसियत है यानी यह कहा, कि इस औरत के हमल के ज़िम्मे सौ रूपये हैं पूछा गया, कि क्यों कर जवाब दिया, कि इसका बाप मरगया मीरास की रू से, इसका यह हक़ है या फ़ुलां शख़्स ने इसकी वसियत की है फिर अगर यह बच्चा वक़्ते इक़रार से छः माह से कम में पैदा हुआ तो इसकी चन्द सूरतें हैं। लड़का है या लड़की है, या दो लड़के हैं या दो लड़कियां हैं। या एक लड़का है और एक लड़की, अगर लड़का या लड़की है तो जो कुछ इक़रार किया है, लेले और दो हैं ख़्वाह दोनों लड़के हों या लड़कियां, दोनों बराबर बांट लें, और एक लड़का एक लड़की है और वसियत की रू से यह चीज़ मिलती है तो दोनों बराबर के हक़दार हैं और मीरास की रू से है तो लड़की से लड़के को दूना, और अगर बच्चा मुर्दा पैदा हुआ तो मूरिस या मूसी के वुरसा की तरफ़ मुन्तक़िल होजायेगा (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.52:– हमल के लिये इक़रार किया और सबब नहीं बयान किया, या ऐसा सबब बयान किया, जो हो न सके, मसलन कहता है मैंने उससे क़र्ज़ लिया, या उसने बैअ् की है, या ख़रीदा है

या उसे किसी ने हिबा किया है इन सब सूरतों में इक़रार लग्व (बेकार) है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.53:– दूध पीते बच्चे के लिये इक़रार किया, और सबब ऐसा बयान किया, हक़ीक़तन हो नहीं सकता है यह इक़रार सही है। मस्लन यह कहा इसका मेरे ज़िम्मे क़र्ज़ है या मबीअ् का स्मन है कि अगरचे वह खुद क़र्ज़ नहीं दे सकता, बैअ् नहीं कर सकता मगर क़ाज़ी या वली कर सकता है। यूं उस बच्चे का मुतालबा मुक़िर के ज़िम्मे साबित होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.54:– यह इक़रार किया कि इस बच्चे के लिये मैंने फ़ुलां की तरफ़ से हज़ार रूपये की किफ़ालत की है और बच्चा इतनी उम्र का है कि बोल न सकता है न समझ सकता है तो किफ़ालत बातिल है मगर जब कि उसके वली ने क़बूल कर लिया, तो किफ़ालत सही होगई।(आलमगीरी)

मसअ्ला.55:– एक शख़्स आज़ाद को क़ाज़ी ने महजूर कर दिया, उसके तसर्रुफ़ाते बैअ् वग़ैरा की मुमानअत करदी है उसने दैन या ग़सब या बैअ् या इत्क़ या तलाक़ या नसब या क़ज़फ़ या ज़िना का इक़रार किया, उसके यह सब इक़रार जाइज़ हैं। आज़ाद शख़्स को क़ाज़ी का हज्र करना (बैअ् वग़ैरा के इख़्तियारात ख़त्म करना) जाइज़ नहीं। (आलमगीरी)

इक़रार में ख़्यारे शर्त

मसअ्ला.56:– इक़रार में शर्ते ख़्यार ज़िक्र की, यह इक़रार सही है और शर्त बातिल, यानी वह मुतालबा बिला ख़्यार उसपर लाज़िम होजायेगा अगर मुक़िर'लहू ने ख़्यार के मुताल्लिक़ इसकी तस्दीक़ की, यह तस्दीक़ बातिल है। हाँ अगर अक़्दे बैअ् का इक़रार किया है और बैअ् बिलख़्यार है तो ब'शर्ते तस्दीक़ मुक़िर'लहू या गवाहों से साबित करने पर इस शर्ते ख़्यार का एअ्तिबार होगा। और अगर मुक़िर'लहू ने तकज़ीब करदी तो क़ौल इसी का मोअ्तबर है कि यह मुन्किर है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.57:– दैन का इक़रार किया, और सबब यह बताया, कि मैंने इसकी किफ़ालत की है और मुद्दत में मुझे इख़्तियार है मुद्दत चाहे तवील हो या कोताह, (ज़्यादा हो या कम) ख़्यारे शर्त सही है ब'शर्ते कि मुक़िर'लहू उसकी तस्दीक़ करे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.58:– क़र्ज़ या ग़सब या वदीअ़त या आरियत का इक़रार किया, और यह कहा, कि मुझे तीन दिन का ख़्यार है इक़रार सही है और ख़्यार बातिल, अगरचे मुक़िर'लहू तस्दीक़ करता हो।(आलमगीरी)

मसअ्ला.59:– किफ़ालत की वजह से दैन का इक़रार किया, और यह कि एक मुद्दते मालूमा तक के लिये, इसमें शर्ते ख़्यार है वह मुद्दत तवील हो या क़सीर (लम्बी हो या छोटी) अगर मुक़िर'लहू उसकी तस्दीक़ करता हो तो ख़्यार साबित होगा और आख़िर मुद्दत तक ख़्यार रहेगा और मुक़िर'लहू तकज़ीब करता हो तो माल लाज़िम होगा और ख़्यार साबित न होगा। (आलमगीरी)

तहरीरी इक़रारनामा

मसअ्ला.60:– इक़रार जिस तरह ज़बान से होता है तहरीर से भी होता है जबकि वह तहरीर मुअ़नवन (यानी ख़ास हो) व मरसूम (जिस तरह लिखा जाता है) हो, मस्लन एक शख़्स ने लोगों के सामने इक़रार नामा लिखाया, या किसी से लिखवाया, और हाज़िरीन से कह दिया 'जो कुछ मैंने इसमें लिखा है तुम उसके गवाह हो जाओ' यह इक़रार सही है अगरचे न इसने पढ़कर उनको सुनाया न उन्होंने खुद तहरीर पढ़ी और अगर किताबत या इमला के वक़्त लोग हाज़िर न थे तो गवाही जाइज़ नहीं। मदयून ने यह दावा किया कि दाइन ने अपने हाथ से लिखा है कि फ़ुलां बिन फ़ुलां पर मेरा जो दैन था मैंने मुआफ़ कर दिया, अगर यह तहरीर मरसूम है और गवाहों से साबित हो तो इक़रार सही है और दैन साक़ित, ख़्वाह मदयून के कहने से उसने लिखी हो या अपने आप बिग़ैर उसके कहे हुए लिखी और अगर तहरीर मरसूम नहीं है, तो न इक़रार सही न मुआफ़ी का दावा सही।(आलमगीरी)

मसअ्ला.61:– इक़रार नामे पर गवाह बनाने का यह मतलब है कि लोगों से कहदे, तुम इसके गवाह होजाओ और उनको इक़रार नामा पढ़कर सुनाया न गया हो और अगर पढ़कर सुना दिया हो तो गवाह बनाये, या न बनाये उनको गवाही देना जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.62:– कातिब से यह कहना कि फ़ुलां बात लिखदो, यह भी हुक्मन इक़रार है मसलन सिकाक (दस्तावेज लिखने वाला) से कहा, तुम मेरा यह इक़रार लिखदो, कि फ़ुलां का मेरे ज़िम्मे एक हज़ार है, या मेरे मकान का बैअ्नामा लिखदो यह इक़रार भी सही है सिकाक लिखे या न लिखे, सिकाक को उसके इक़रार पर शहादत देना जाइज़ है। (दुरर, ग़ुरर)

मसअ्ला.63:– ब'तौर मुरासला एक तहरीर लिखी कि अज़ जानिबे फ़ुलां, ब'तरफ़ फ़ुलां तुमने लिखा है कि मैंने तुम्हारे लिए फ़ुलां की तरफ़ से एक हज़ार की ज़मानत की है मैंने एक हज़ार की ज़मानत नहीं की है सिर्फ़ पाँच सौ की ज़मानत की है लिखने के बाद उसने तहरीर चाक कर डाली और इस तहरीर के वक़्त दो शख़्स मौजूद थे, जिन्होंने उसकी तहरीर देखी है यह गवाही दे सकते हैं। कि उसने ऐसी तहरीर लिखी थी, उसने चाहे उन दोनों को गवाह बनाया हो, या न बनाया, और लिखने वाले पर गवाही गुज़र जाने के बाद वह अम्र लाज़िम किया जायेगा जिसको उसने लिखा था। तलाक़ व इताक़ और वह तमाम हुक़ूक़ जो शुबह के साथ भी साबित होजाते हैं। सबका यही हुक्म है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.64:– मुरासला के तौर पर एक तहरीर ज़मीन पर लिखी, या कपड़े पर लिखी, इस तहरीर से इक़रार साबित नहीं होगा और जिसने तहरीर देखी है उसको गवाही देनी भी जाइज़ नहीं, हाँ अगर उन लोगों से यह कह दिया कि तुम इस माल के शाहिद रहो, तो माल लाज़िम होजायेगा और गवाही देनी जाइज़। (ख़ानिया)

मसअ्ला.65:– काग़ज़ पर यह तहरीर लिखी कि फ़ुलां का मेरे ज़िम्मे इतना रूपया है मगर यह तहरीर बतौर मुरासला नहीं है ऐसी तहरीर से इक़रार साबित न होगा हाँ अगर लोगों से कह दिया कि जो कुछ मैंने लिखा है तुम उसके गवाह बन जाओ तो उनका गवाही देना जाइज़ है और माल लाज़िम होजायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.66:– एक तहरीर लिखी मगर ख़ुद पढ़कर नहीं सुनाई, किसी दूसरे शख़्स ने पढ़कर गवाहों को सुनाई और कातिब ने कह दिया कि तुम इसके गवाह होजाओ, तो इक़रार सही है और यह न कहा, तो इक़रार सही नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.67:– लोगों के सामने एक तहरीर लिखी और हाज़िरीन से कहा कि तुम इस पर मुहर या दस्तख़त कर दो, यह नहीं कहा, कि गवाह हो जाओ, यह इक़रार सही नहीं, और उन लोगों को गवाही देना भी जाइज़ नहीं। (ख़ानिया)

मसअ्ला.68:– एक शख़्स ने एक दस्तावेज़ पढ़कर सुनाई, जिसमें इसने किसी के लिये माल का इक़रार किया था, सुनने वालों ने कहा क्या हम उस माल के गवाह होजायें, जो इस दस्तावेज़ में लिखा है उसने कहा हाँ, यह हाँ कहना, इक़रार है और सुनने वालों को शहादत देनी जाइज़।(ख़ानिया)

मसअ्ला.69:– रोज़नामचा और बही खाता में अगर यह तहरीर हो कि फ़ुलां के मेरे ज़िम्मे इतने रूपये हैं यह तहरीर मरसूम क़रार पायेगी इसके लिये गवाह करना शर्त नहीं, यानी बिग़ैर गवाह बनाये हुए भी यह तहरीरे इक़रार क़रार दी जायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.70:– एक शख़्स ने यह कहा कि मैंने अपनी याददाश्त (नोट बुक) में या हिसाब के काग़ज़ में यह लिखा हुआ पाया मैंने अपने हाथ से यह लिखा, कि फ़ुलां का मेरे ज़िम्मे इतना रूपया है, यह इक़रार नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.71:– ताजिर की याद'दाश्त में कुछ तहरीर उसके हाथ की लिखी हुई है वह मोअ्तबर है। लिहाज़ा अगर वह दुकानदार यह कहे कि मैंने अपनी नोट बुक में अपने हाथ का लिखा हुआ, यह देखा, या मैंने अपने हाथ से अपनी नोट बुक में यह लिखा है कि फ़ुलां शख़्स के मेरे ज़िम्मे हज़ार रूपये हैं यह इक़रार माना जायेगा और उसको हज़ार रूपये देने होंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.72:– मुद्दा'अ़लैह ने क़ाज़ी के सामने कहा कि मुद्दई की याददाश्त में जो कुछ उसने मेरे ज़िम्मे अपने हाथ से लिखा हो उसको मैं अपने ज़िम्मे लाज़िम किये लेता हूँ यह इक़रार नहीं है। (शरहुलाली)

मुतअ़द्दिद मरतबा इक़रार करना

मसअ्ला.73:– चन्द मरतबा यह कहा कि मेरे ज़िम्मे फुलां शख़्स के हज़ार रूपये हैं अगर यह इक़रार किसी दस्तावेज़ का हवाला देते हुए किया, यानी यह कहा कि इस दस्तावेज़ की रू से उसके हज़ार रूपये मुझ पर हैं तो ख़्वाह यह इक़रार एक मज्लिस में हो या मुतअ़द्दिदद मजालिस में हो दूसरी जगह जिन लोगों के सामने इक़रार किया, वही हों जिनके सामने पहली मरतबा किया था, या यह दूसरे लोग हों बहर हाल यह एक ही हज़ार का इक़रार है यानी मुतअ़द्दिदद बार करने से मुतअद्दिदद इक़रार नहीं पायेंगे बल्कि एक ही इक़रार की तकरार है और अगर दस्तावेज़ का हवाला देते हुए, यह इक़रार नहीं है तो अगर एक मज्लिस में मुतअ़द्दिदद मर्तबा इक़रार किया है जब भी एक ही इक़रार है और दूसरा इक़रार दूसरी मज्लिस में है और उन्हीं लोगों के सामने इक़रार किया है जिनके सामने पहले इक़रार किया था जब भी एक ही इक़रार है और अगर दूसरी मज्लिस में दूसरे दो आदमियों के सामने इक़रार किया है और हज़ार रूपये होने का कोई सबब नही बयान किया, तो दो इक़रार हैं यानी मुक़िर पर दो हज़ार रूपये वाजिब हैं और अगर दोनों इक़रारों का सबब एक ही है मस्लन फुलां शख़्स के मेरे ज़िम्मे हज़ार रूपये हैं फुलां चीज़ के दाम तो कितने ही मर्तबा इक़रार करे, एक ही हज़ार वाजिब होंगे और अगर हर इक़रार का सबब जुदा जुदा है, एक मर्तबा समन बताया, एक मर्तबा उससे क़र्ज़ लेना कहा, तो हर एक इक़रार जुदा जुदा है और जितने इक़रार उतना माल लाज़िम। (दुरर, ग़ुरर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.74:– एक मर्तबा गवाहों के सामने इक़रार किया, दूसरी मर्तबा क़ाज़ी के सामने इक़रार किया, या पहले क़ाज़ी के सामने, फिर गवाहों के सामने या क़ाज़ी के सामने कई मर्तबा इक़रार किया, यह सब एक ही इक़रार हैं यानी एक ही हज़ार वाजिब होंगे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.75:– इक़रार किया, फिर यह दावा करता है कि मैंने झूटा इक़रार किया, ख़्वाह मजबूरी व इज़्तिरार की वजह से झूट बोलना कहता हो या बिग़ैर मजबूरी मुक़िर'लहू पर यह हल्फ़ दिया जायेगा कि मैं काज़िब न था यूंही अगर मुक़िर मरगया है उसके वुरसा यह कहते हैं कि मुक़िर ने झूटा इक़रार किया, तो मुक़िर'लहू पर हल्फ़ दिया जायेगा और अगर मुक़िर'लहू मरगया, उसके वुरसा पर मुक़िर ने दावा किया कि मैंने झूटा इक़रार किया तो वुरसा मुक़िर पर हल्फ़ दिया जायेगा मगर यह लोग यूँ क़सम खायेंगे कि हमारे इल्म में यह नहीं है कि इसने झूटा इक़रार किया है।(दुर्रेमुख़्तार)

इक़रारे वारिस् बा़दे मौत मूरिस्

मसअ्ला.1:– वुरसा में से एक ने इक़रार किया, कि मय्यित पर इतना फुलां शख़्स का दैन है और बाक़ी वुरसा ने इन्कार किया, ज़ाहिरुर्रिवायत यह है कि कुल दैन इस मुक़िर के हिस्से से अगर वसूल किया जा सके, वसूल किया जाये और बा़ज़ उ़लमा यह कहते हैं कि दैन का जितना जुज़ उसके हिस्से में आता है उसके मुतअ़ल्लिक़ उसका इक़रार सही है और अगर इस मुक़िर और एक दूसरे शख़्स ने शहादत दी कि मय्यित पर इतना फुलां का दैन है इसकी गवाही मक़बूल है और कुल तर्का से यह दैन वसूल किया जायेगा। (दुरर, ग़ुरर, रद्दुल'मोहतार)

मसअ्ला.2:– एक शख़्स मरगया, और एक हज़ार रूपये, और एक बेटा छोड़ा, बेटे ने यह इक़रार किया, कि ज़ैद के मेरे बाप के ज़िम्मे एक हज़ार रूपये हैं और एक हज़ार अ़म्र के हैं अगर यह दोनों बातें मुत्तसिलन कहीं, तो ज़ैद व अ़म्र दोनों इन हज़ार रूपये में से पाँच पाँच सौ लेलें और अगर दोनों बातों में फ़स्ल हो, ज़ैद के इक़रार करने के बा़द ख़ामोश रहा, फिर अ़म्र के लिये इक़रार किया, तो ज़ैद मुक़द्दम है मगर ज़ैद को अगर क़ाज़ी के हुक्म से हज़ार रूपये दिये, तो अ़म्र को कुछ नहीं मिलेगा और बतौर खुद देदिये तो अ़म्र को अपने पास से पाँचसौ दे, और अगर बेटे ने यह कहा कि यह हज़ार रूपये मेरे बाप के पास ज़ैद की अमानत थे, और अ़म्र के उसके ज़िम्मे एक हज़ार दैन हैं और दोनों बातों में फ़ासिला न हो, अमानत को दैन पर मुक़द्दम किया जाये और

अगर पहले दैन का इक़रार किया और बाद में मुत्तिसलन अमानत का तो दोनों बराबर बांटलें।(मबसूत)
मसअ्ला.3:– एक शख़्स ने कहा, यह हज़ार रूपये जो तुम्हारे वालिद ने छोड़े हैं मैंने उनके पास बतौर अमानत रखे थे दूसरे शख़्स ने कहा तुम्हारे बाप पर मेरे हज़ार रूपये दैन हैं बेटे ने दोनों से मुख़ातब होकर कहा, कि तुम दोनों सच कहते हो तो दोनों बराबर बराबर बांट लें। (आलमगीरी)
मसअ्ला.4:– एक शख़्स मरगया, दो बेटे वारिस् छोड़े, और दो हज़ार का तर्का है एक एक हज़ार दोनों ने ले लिये। फिर दो शख़्सों ने दावा किया, हर एक का यह दावा है कि तुम्हारे बाप के ज़िम्मे एक हज़ार दैन हैं एक मुद्दई की दोनों बेटों ने तस्दीक़ की, और दूसरे की फ़क़त एक ने तस्दीक़ की, मगर उसने दोनों के लिये एक साथ इक़रार किया, यानी यह कहा कि तुम दोनों सच कहते हो जिसकी दोनों ने तस्दीक़ की है वह दोनों से पाँच सौ लेगा और दूसरा फ़क़त उसी से पाँचसौ लेगा जिसने उसकी तस्दीक़ की है। (आलमगीरी)
मसअ्ला.5:– एक शख़्स मर गया, और उसके हज़ार रूपये किसी के ज़िम्मे बाक़ी हैं उसने दो बेटे वारिस् छोड़े, उनके सिवा कोई वारिस् नहीं, मदयून कहता है कि तुम्हारे बाप को मैंने पाँचसौ रूपये देदिये थे मेरे ज़िम्मे सिर्फ़ पाँच सौ बाक़ी हैं एक बेटे ने इसकी तस्दीक़ की, दूसरे ने तकज़ीब, जिसने तकज़ीब की है वह मदयून से पाँचसौ रूपये जो बाक़ी हैं वसूल करेगा और जिसने तस्दीक़ की है उसको कुछ नहीं मिलेगा और अगर मदयून ने यह कहा कि मरने वाले को मैंने पूरे हज़ार रूपये देदिये थे अब मेरे ज़िम्मे कुछ बाक़ी नहीं है एक ने इसकी तस्दीक़ की, दूसरे ने तकज़ीब, तो तकज़ीब करने वाला मदयून से पाँचसौ वसूल कर सकता है और तस्दीक़ करने वाला कुछ नहीं ले सकता हाँ। मदयून उसकी तकज़ीब करने वाले को यह हल्फ़ दे सकता है कि क़सम खाये कि मेरे इल्म में यह बात नहीं कि मेरे बाप ने पूरे हज़ार रूपये तुमसे वसूल करलिये इसने क़सम खाकर मदयून से पाँचसौ रूपये वसूल करलिये, और फ़र्ज़ करो इनके बाप ने एक हज़ार रूपये और छोड़े हैं जो दोनों भाईयों पर बराबर तक़सीम होगये, मदयून इसकी तस्दीक़ करने वाले से उसके हिस्से के पाँचसौ, मिले हैं वसूल कर सकता है। (आलमगीरी)
मसअ्ला.6:– एक शख़्स मरा, और एक बेटा वारिस् छोड़ा और हज़ार रूपये छोड़े इस मय्यित पर किसी ने एक हज़ार का दावा किया, बेटे ने उसका इक़रार कर लिया और वह हज़ार रूपये उसे दे दिये उसके बाद दूसरे शख़्स ने मय्यित पर हज़ार रूपये का दावा किया, बेटे ने इससे इन्कार किया, मगर पहले मुद्दई ने उसकी तस्दीक़ की, और दूसरे मुद्दई ने पहले मुद्दई के दैन का इन्कार किया यह इन्कार बेकार है दोनों मुद्दई उस हज़ार को बराबर–बराबर तक़सीम करलें। (आलमगीरी)

इस्तिस्ना और उसके मुतअ़ल्लिक़ात का बयान

इस्तिस्ना का मतलब यह होता है कि मुस्तस्ना के निकालने के बाद जो कुछ बाक़ी बचता है वह कहा गया, मसलन यह कहा कि फ़ुलां के मेरे ज़िम्मे दस रूपये हैं। मगर तीन इसका हासिल, यह हुआ कि सात रूपये हैं।
मसअ्ला.1:– इस्तिस्ना में शर्त यह है कि साबिक़ के साथ मुत्तसिल हो यानी बिला ज़रूरत बीच में फ़ासिला न हो और ज़रूरत की वजह से फ़ासिला होजाये, उसका एअ्तिबार नहीं मसलन सांस टूट गई, खांसी आगई, किसी ने मुँह बन्द करदिया, बीच में निदा का आजाना भी फ़ासिल नहीं क़रार दिया जायेगा मसलन मेरे ज़िम्मे एक हज़ार हैं ऐ फ़ुलां मगर दस यह इस्तिस्ना सही है जबकि मुक़िर'लहू मुनादा (यानी जिस के लिये इक़रार किया उसी को पुकारा हो (अमीनुल क़ादरी)) हो, और अगर यह कहा, मेरे ज़िम्मे फ़ुलां के दस रूपये हैं तुम गवाह रहना मगर तीन यह इस्तिस्ना सही नहीं, कुल देने होंगे। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)
मसअ्ला.2:– जो कुछ इक़रार किया है उस में से बाज़ का इस्तिस्ना सही है अगरचे निस्फ़ से ज़्यादा का इस्तिस्ना हो और उसके निकालने के बाद जो कुछ बाक़ी बचे, वह देना लाज़िम होगा अगरचे यह इस्तिस्ना ऐसी चीज़ में हो जो क़ाबिले तक़सीम न हो जैसे गुलाम जानवर कि इसमें भी

निस्फ़ या कम व बेश का इस्तिस्ना सही है मसलन एक तिहाई का इस्तिस्ना किया, दो तिहाईयां लाज़िम हैं और दो तिहाई का इस्तिस्ना किया एक तिहाई लाज़िम है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.3:– इस्तिस्ना मुस्तग़रक़, कि उसको निकालने के बाद कुछ न बचे, बातिल है अगरचे यह इस्तिस्ना ऐसी चीज़ में हो, जिसमें रुजूअ का इख़्तियार होता है जैसे वसियत, कि इसमें अगरचे रुजूअ कर सकता है मगर इस तरह इस्तिस्ना जिससे कुछ बाक़ी न बचे बातिल है और पहले कलाम का जो हुक्म वही साबित रहेगा। इस्तिस्ना मुस्तग़रक़ उस वक़्त बातिल है कि उसी लफ़्ज़ से इस्तिस्ना हो, या उसके किसी मसावी से, और अगर यह दोनों बातें न हों, यानी लफ़्ज़ के एअतिबार से इस्तिग़राक़ नहीं है अगरचे वाक़ेअ में इस्तिग़राक़ है तो इस्तिस्ना बातिल नहीं, मसलन यह कहा कि मेरे माल की तिहाई ज़ैद के लिये है मगर एक हज़ार, हालांकि कुल तिहाई एक ही हज़ार है यह इस्तिस्ना सही है और ज़ैद किसी चीज़ का मुस्तहिक़ नहीं होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.4:– यह कहा जितने रूपये इस थैली में हैं फ़ुलां के हैं मगर एक हज़ार कि यह मेरे हैं। अगर उसमें एक हज़ार से ज़्यादा हों, तो एक हज़ार उसके, बाक़ी मुक़िर'लहू के, और अगर उसमें एक हज़ार ही हैं या हज़ार से भी कम हैं तो जो कुछ हैं मुक़िर'लहू को दिये जायेंगे। (आलमगीरी)

मसअला.5:– कैली और वज़नी और अददी ग़ैर मुतफ़ावत (अदद, गिन्ती से बिकने वाली वह चीजें जिन में ज़्यादा फ़र्क़ न हो (अमीनुल क़ादरी)) का रूपये, अशर्फ़ी से इस्तिस्ना करना सही है और क़ीमत के लिहाज़ से इस्तिस्ना होगा मसलन कहा, ज़ैद का मेरे ज़िम्मे एक रूपया है मगर चार पैसे या एक अशर्फ़ी है मगर एक रूपया और इस सूरत में अगर क़ीमत के एअतिबार से बराबरी होजाये। जब भी इस्तिस्ना सही है और कुछ लाज़िम न होगा। अगर इनके अलावा दूसरी चीज़ों से इस्तिस्ना किया, तो वह सही ही नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.6:– इस्तिस्ना में दो अदद हों, और उनके दरम्यान हर्फ़े शक हो तो जिसकी मिक़दार कम हो, उसी को निकाला जाये मसलन फ़ुलां शख़्स के मेरे ज़िम्मे एक हज़ार हैं मगर सौ या पचास तो साढ़े नौ सौ का इक़रार क़रार पायेगा अगर मुस्तस्ना मजहूल हो, यानी उसकी मिक़दार मालूम न हो, तो निस्फ़ से ज़्यादा साबित किया जायेगा मसलन मेरे ज़िम्मे उस के सौ रूपये हैं मगर कुछ कम यह इक्क्यावन रूपये का इक़रार होगा। (बहर)

मसअला.7:– दो क़िस्म के माल का इक़रार किया, और इन दोनों इक़रारों के बाद इस्तिस्ना किया, और यह बयान नहीं किया कि माले अव्वल से इस्तिस्ना है या सानी से, अगर दोनों मालों का मुक़िर'लहू एक शख़्स है और मुस्तस्ना माले अव्वल की जिन्स से है तो माले अव्वल से इस्तिस्ना क़रार पायेगा मसलन मेरे ज़िम्मे ज़ैद के सौ रूपये हैं और एक अशर्फ़ी, मगर एक रूपया तो निन्नियानवे रूपये और एक अशर्फ़ी लाज़िम होगी। और अगर मुक़िर लहू दो शख़्स हैं तो इस्तिस्ना का ताल्लुक़ माले सानी से होगा अगरचे मुस्तस्ना माले अव्वल की जिन्स हो, मसलन यह कहा, कि मेरे ज़िम्मे ज़ैद के सौ रूपये हैं और अम्र की एक अशर्फ़ी है मगर एक रूपया, तो अम्र की अशर्फ़ी में से एक रूपया का इस्तिस्ना क़रार पायेगा। (आलमगीरी)

मसअला.8:– यह कहा, कि फ़ुलां शख़्स के मेरे ज़िम्मे हज़ार रूपये हैं और सौ अशर्फ़ियाँ, मगर एक सौ रूपये और दस अशर्फ़ियाँ; तो नौ सौ रूपये और नव्वे रूपये लाज़िम हैं। (आलमगीरी)

मसअला.9:– इस्तिस्ना के बाद इस्तिस्ना हो, इस्तिस्ना अव्वल नफ़ी है इस्तिस्ना दोम इस्बात, मसलन यह कहा कि फ़ुलां के मेरे ज़िम्मे दस रूपये हैं मगर नौ, मगर आठ, तो नौ रूपये लाज़िम होंगे और अगर कहा, कि दस रूपये हैं मगर तीन, मगर एक, तो आठ लाज़िम होंगे और अगर कहा, कि दस हैं मगर सात मगर पाँच, मगर तीन, मगर एक तो आख़िर वाले को उसके पहले अदद से निकालो, फिर माबक़ी को उसके पहले वाले से व अला हाज़ल क़ियास, यानी तीन में से एक निकाला, दो रहे, फिर दो को पाँच से निकालो, तीन रहे, फिर तीन को सात से निकालो चार रहे, और चार को दस से निकालो छः बाक़ी रहे, लिहाज़ा छः का इक़रार हुआ। इसकी दूसरी सूरत यह

है, कि पहला अदद दाहिनी तरफ़ रखो दूसरा बाईं तरफ़, फिर तीसरा दाहिनी तरफ़ और चौथा बाईं तरफ़ व अला हाजल कियास और दोनों तरफ़ के अदद को जमा करलो, बाईं तरफ़ के मजमूआ को दाहिनी तरफ़ के मजमूआ से ख़ारिज करो, जो कुछ बाक़ी रहा, उसका इक़रार है मस्लन सूरते मजकूरा में यूं करें। 7 – 10

3 – 5

– 1 (आलमगीरी)

10 – 16

मसअ्ला.10:– दो इस्तिस्ना जमा हों और इस्तिस्ना दोम मुस्तग़रक हो, तो पहला सही है और दूसरा बातिल, मस्लन यह कहा कि उसके मुझ पर दस रूपये हैं मगर पाँच, मगर दस, तो पाँच देना लाज़िम हैं और अगर पहला मुस्तग़रक है दूसरा नहीं, मस्लन मेरे ज़िम्मे दस हैं मगर दस, मगर पाँच तो दोनों सही हैं यानी पाँच को दस से निकाला, पाँच बचे, फिर पांच को दस से निकाला पाँच रहे, बस पाँच का इक़रार हुआ। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– इक़रार के साथ इन्शाअल्लाह कह देने से इक़रार बातिल होजायेगा यूंही किसी के चाहने पर इक़रार को मुअ़ल्लक़ किया, मेरे ज़िम्मे यह है अगर फुलां चाहे, अगरचे यह शख़्स कहता हो कि मैं चाहता हूँ मुझे मन्जूर है। यूंही किसी ऐसी शर्त पर मुअ़ल्लक़ किया, जिसके होने या न होने दोनों बातों का एहतिमाल हो इक़रार को बातिल कर देता है यानी अगर वह शर्त पाई जाये, जब भी इक़रार लाज़िम न होगा। अगर ऐसी शर्त पर मुअल्लक़ किया, जो ला'मुहाला (यक़ीनन) होगी ही, अगर मैं मर जाऊं, तो फुलां का मेरे ज़िम्मे हज़ार रूपया है ऐसी शर्त से इक़रार बातिल नहीं होता, बल्कि तालीक़ (शर्त) ही बातिल है और इक़रार मुन्जिज़ है वह शर्त पाई जाये, या न पाई जाये, यानी अभी वह चीज़ लाज़िम है और अगर शर्त में मीआद का ज़िक्र हो, मस्लन जब फुलां शख़्स के इतने रूपये लाज़िम होंगे, इस सूरत में भी फ़ौरन लाज़िम है और मीआद के मुताल्लिक़ मुक़िर'लहू को हल्फ़ दिया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार, बहर)

मसअ्ला.12:– फुलां शख़्स के मेरे ज़िम्मे हज़ार रूपये हैं अगर वह क़सम खाये, या ब'शर्ते कि वह क़सम खाले, उसने क़सम खाली, मगर मुक़िर (इक़रार करने वाला) इन्कार करता है तो उस माल का मुतालबा नहीं होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– मुक़िर ने दावा किया कि मैंने इक़रार को मोअल्लक़ बिशर्त किया था, यानी उसके साथ इन्शाअल्लाह कह दिया था लिहाज़ा मुझपर कुछ लाज़िम नहीं मेरा इक़रार बातिल है। अगर यह दावा इन्कार के बाद है। यानी मुक़िर लहू ने उस पर दावा किया, और उसका इक़रार करना बयान किया, उसने अपने इक़रार से इन्कार किया, मुद्दई ने गवाहों से इक़रार साबित किया, अब मुक़िर ने यह कहा, तो बिग़ैर गवाहों के मुक़िर की बात नहीं मानी जायेगी और अगर मुक़िर ने शुरू ही में यह कह दिया कि मैंने इक़रार किया था और उसके साथ इन्शाअल्लाह भी कह दिया था तो इसके क़ौल की तस्दीक़ की जायेगी। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मोहतार)

मसअ्ला.14:– फुलां शख़्स के मेरे ज़िम्मे हज़ार रूपये हैं मगर यह कि मुझे इसके सिवा कुछ दूसरी बात ज़ाहिर हों, या समझ में आये यह इक़रार बातिल है। (शरंबुलाली)

मसअ्ला.15:– पूरे मकान का इक़रार किया, उसमें एक कमरे का इस्तिस्ना किया, यह इस्तिस्ना सही है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– यह अँगूठी फुलां की है मगर इसमें का नगीना मेरा है, यह बाग़ फुलां का है मगर यह दरख़्त इसमें मेरा है, यह लौंडी फुलां की है मगर इसके गले का यह तौक़ मेरा है, इन सब सूरतों में इस्तिस्ना सही नहीं। मक़सद यह है कि तवाबेअ् शय (ऐसी चीज़ जो उसी का जुज़ हो जैसे बाग़ कहा गया तो बाग़ में सभी दरख़्त शामिल हैं (मुहम्मद अमीनुल क़ादरी)) का इस्तिस्ना सही नहीं होता। (दुरर, ग़ुरर)

मसअ्ला.17:— मैंने फुलां से एक गुलाम खरीदा जिसपर अभी कब्जा नहीं किया है उसका समन (कीमत) एक हजार मेरे जिम्मे है अगर मोअय्यन गुलाम को जिक्र किया है तो मुकिर लहू से कहा जायेगा वह गुलाम देदो, और हजर रूपये लेलो वरना कुछ नहीं मिलेगा दूसरी सूरत यहाँ यह है, कि मुकिर लहू यह कहता है वह गुलाम तुम्हारा ही गुलाम है। इसे मैंने कब बेचा है मैंने तो दूसरा गुलाम बेचा था जिस पर कब्जा भी दे दिया, इस सूरत में हजार रूपये, जिनका इकरार किया है। देने लाजिम हैं कि जिस चीज के मुआवजे में इसने देना बताया था जब उसे मिलगई, तो रूपये देने ही हैं। सबब के इख्तिलाफ की तरफ तवज्जोह नहीं होगी तीसरी सूरत यह है कि मुकिर लहू कहता है यह गुलाम मेरा गुलाम है इसे मैंने तेरे हाथ बेचा ही नहीं, इसका हुक्म यह है कि मुकिर का कुछ लाजिम नहीं क्योंकि जिसके मुकाबिल में इकरार किया था वह चीज ही नहीं मिली, और अगर मुकिर लहू अपने इस जवाबे मज़कूर के साथ इतना और इजाफा करदे कि मैंने तुम्हारे हाथ दूसरा गुलाम बेचा था इसका हुक्म यह है कि मुकिर व मुकिर लहू दोनों पर हल्फ है क्योंकि दोनों मुद्दई हैं और दोनों मुन्किर हैं अगर दोनों कसम खाजायें, माल बातिल होजायेगा यानी न इसको देना होगा, और न उसको। यह तमाम सूरतें मोअय्यन गुलाम की हैं। अगर मुकिर ने मोअय्यन नहीं किया, बल्कि यह कहता है कि मैंने तुमसे एक गुलाम खरीदा था मुकिर पर हजार रूपये देना लाज़िम है और उसका यह कहना कि मैंने उसपर कब्जा नहीं किया है काबिले तस्दीक नहीं चाहे इस जुमले को कलामे साबिक से मुत्तसिल (पहली बात से मिलाकर) बोला हो या बीच में फासिला होगया हो दोनों का एक हुक्म है। (हिदाया)

मसअ्ला.18:— यह चीज़ मुझे जैद ने दी है और यह अम्र की है अगर जैद ने भी यह इकरार किया, कि वह अम्र की है और अम्र की इजाज़त से मैंने दी है और अम्र भी जैद की तस्दीक करता है तो उसे इख़्तियार है कि वह चीज़ ज़ैद को वापस दे, या अम्र को जिसको चाहे दे सकता है और अगर अम्र कहता है मैंने ज़ैद को चीज़ देने की इजाज़त नहीं दी थी तो जैद को वापस न दे, और यह मुकिर ज़ैद को तावान भी नहीं देगा और अगर जैद, अम्र दोनों उस चीज़ को अपनी मिल्क बताते हों तो मुकिर यह चीज़ ज़ैद को दे कि ज़ैद ही ने उसे दी है और ज़ैद को दे देने से यह शख़्स बरी हो गया, जैद मालिक हो, या न हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.19:— फुलां शख़्स के मेरे ज़िम्मे हज़ार रूपये हैं वह शराब या ख़िन्ज़ीर की कीमत के हैं, या मुर्दार, या ख़ून की बैअ् के दाम हैं, या जुए में मुझ पर यह लाजिम हुए, इन सब सूरतों में, जबकि मुकिर ने ऐसी चीज़ ज़िक्र करदी, जिसकी वजह से मुतालबा हो ही नहीं सकता मसलन शराब व ख़िन्ज़ीर के समन का मुतालबा कि यह बातिल है। लिहाज़ा इस चीज के ज़िक्र करने के, माना यह हैं कि मुकिर अपने इक़रार से रूजुअ् करता है कहने को तो हज़ार रूपये कह दिया, और फ़ौरन उसको दफ़ा करने की तर्कीब यह निकाली, कि ऐसी चीज़ ज़िक्र करदी, जिसकी वजह से देना ही न पड़े और इक़रार के बाद रुजूअ् नहीं कर सकता लिहाज़ा इन सूरतों में हज़ार रूपये मुकिर पर लाज़िम हैं हाँ अगर मुकिर ने गवाहों से साबित किया कि जिन रूपयों का इक़रार किया है वह उसी किस्म के हैं जिसको मुकिर ने बयान किया है या खुद मुकिर लहू ने मुकिर की तस्दीक की, तो मुकिर पर कुछ लाज़िम नहीं। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.20:— मेरे ज़िम्मे फुलां शख़्स के हज़ार रूपये हराम के हैं या सूद के हैं इस सूरत में भी रूपये लाज़िम हैं और अगर यह कहा कि हज़ार रूपये ज़ोर (ज़बरदस्ती) या बातिल के हैं और मुकिर लहू तकज़ीब करता है तो लाज़िम, और तस्दीक करता है तो लाज़िम नहीं। (बहरुर्राइक)

मसअ्ला.21:— यह इक़रार किया कि मैंने सामान ख़रीदा था उसके समन के रूपये मुझ पर हैं, या मैंने फुलां से कर्ज़ लिया था उसके रूपये मेरे जिम्मे हैं उसके बाद यह कहता है वह खोटे रूपये हैं, या जस्ते के सिक्के हैं, या उन पैसों का चलन अब बन्द है इन सब सूरतों में अच्छे रूपये देने होंगे। उसने यह कलाम पहले जुमले के साथ वस्ल किया हो (मिलाया हो) या फ़स्ल (जुदा किया हो) किया हो

क्योंकि यह रुजूअ् है और अगर यूँ कहा, कि फुलां शख़्स के मेरे ज़िम्मे इतने रूपये खोटे हैं, और वुजूब का सबब न बताया हो तो जिस तरह के कहता है वैसे ही वाजिब हैं, और अगर यह इक़रार किया कि उसके मेरे ज़िम्मे हज़ार रूपये ग़सब या अमानत के हैं फिर कहता है वह खोटे हैं। मुक़िर की तस्दीक़ की जायेगी। इस जुमले को वस्ल (मिलाकर) के साथ कहे, या फ़स्ल (अलग करके) के साथ। क्योंकि ग़सब करने वाला खरे खोटे का इम्तियाज़ नहीं करता और अमानत रखने वाले के पास जैसी चीज़ होती है, रखता है। ग़सब या वदीअ़त के इक़रार में अगर यह कहता है कि जस्त के वह रूपये हैं और वस्ल के साथ कहा, तो मक़बूल है और फ़स्ल करके कहा, तो मक़बूल नहीं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.22:– बैअ् तलजिया का इक़रार किया यानी मैंने ज़ाहिर तौर पर बैअ् की थी हक़ीक़त में बैअ् मक़सूद न थी। अगर मुक़िर'लहू ने इसकी तकज़ीब की तो बैअ् लाज़िम होगी वरना नहीं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.23:– यह इक़रार किया कि फुलां के मेरे ज़िम्मे हज़ार रूपये हैं। फिर कहता है, यह इक़रार मैंने तलजिया के तौर पर किया। मुक़िर'लहू कहता है वाक़ई में तुम्हारे ज़िम्मे हजार हैं अगर मुक़िर'लहू ने इससे पहले तलजिया का इक़रार न किया तो मुक़िर को माल देना ही होगा, और अगर मुक़िर'लहू तलजिया की तस्दीक़ कर लेगा तो कुछ लाज़िम न होगा। (आलमगीरी)

निकाह़ व त़लाक़ का इक़रार

मसअ्ला.1:– मर्द ने इक़रार किया कि मैंने फुलानी औरत से हज़ार रूपये में निकाह़ किया फिर मर्द ने निकाह़ से इन्कार कर दिया, और औरत ने भी उसकी तस्दीक़ की थी तो निकाह़ जाइज़ है। औरत को महर भी मिलेगा, और मीरास् भी हाँ अगर महरे मुक़र्रर महरे मिस्ल से ज़ाइद हो और निकाह़ का इक़रार मर्ज़ में हुआ हो तो यह ज़्यादती बातिल है और अगर औरत ने इक़रार किया। कि मैंने फुलां से इतने महर पर निकाह़ किया फिर औरत ने इन्कार कर दिया अगर शौहर ने औरत की ज़िन्दगी में तस्दीक़ की निकाह़ साबित होजायेगा और मरने के बाद तस्दीक़ की तो न निकाह़ साबित होगा न शौहर को मीरास् मिलेगी। (आलमगीरी)

नोटः– इस मसअ्ले में हज़ार रूपये का जो ज़िक्र है उसको दस दिरहम पढ़लें क्योंकि आज के दौर में कम से कम महर भी एक हज़ार रूपये नहीं है कम से कम महर आज के दौर में जितनी क़ीमत दस दिरहम की होगी उतने ही रूपये होंगे यहाँ इस मसअ्ले में महर के साथ निकाह़ होना बताया गया है और यह भी बयान किया है कि महर का इक़रार मर्द ने किया है तो वह औरत को मिलेगा और मीरास् भी मिलेगी एक हज़ार का ज़िक्र बहरे शरीअ़त उर्दू में है उस वक़्त दस दिरहम की क़ीमत एक हज़ार से कम ही थी।(मुहम्मद अमीनुल क़ादरी)

मसअ्ला.2:– औरत ने मर्द से कहा, मुझे त़लाक़ देदे या इतने पर खुला करले (खुला का मतलब यह है कि पैसा देकर शौहर से त़लाक़ ले लेना (अमीनुल क़ादरी))। या कहा, मुझे इतने रूपये के एवज कुल त़लाक़ देदी या मुझसे कुल खुला कर लिया, या तूने मुझ से ज़िहार किया, या ईला किया इन सब सूरतों में निकाह़ का इक़रार है। यूँही मर्द ने औरत से कहा, मैंने तुझसे ज़िहार किया है या ईला किया है या मर्द की जानिब से इक़रारे निकाह़ है और अगर औरत से ज़िहार के अलफ़ाज़ कहे कि तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की मिस्ल है यह इक़रार नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– औरत ने मर्द से कहा, मुझे त़लाक़ देदे मर्द ने कहा, तू अपने नफ़्स को इख़्तियार कर, या तेरा अम्र (मुआमला) तेरे हाथ में है यह इक़रारे निकाह़ है और अगर मर्द ने इब्तिदाअ्न यह कलाम कहा, औरत के जवाब में नहीं कहा, तो इसकी दो सूरते हैं अगर यह कहा, तेरा अम्र त़लाक़ के बारे में तेरे हाथ में है यह इक़रार है और अगर त़लाक़ का ज़िक्र नहीं किया तो इक़रारे निकाह़ नहीं(आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– मर्द ने कहा, तुझे त़लाक़ है यह इक़रारे निकाह़ है और अगर कहा तू मुझ पर ह़राम है या बाइन है तो इक़रारे निकाह़ नहीं। मगर जब कि औरत ने त़लाक़ का सुवाल किया हो और उसने उसके जवाब में कहा हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– शौहर ने इक़रार किया कि मैंने तीन महीने हुए उसे तलाक़ देदी है और निकाह को अभी एक ही महीना हुआ है तो तलाक़ वाक़ेअ् नहीं हुई और निकाह को चार महीने होगये हैं तो तलाक़ होगई। फिर इस सूरत में अगर औरत शौहर की तस्दीक करती हो तो इद्दत उस वक़्त से होगी जब से शौहर तलाक़ देना बताता है और तकज़ीब करती हो तो वक़्ते इक़रार से इद्दत होगी(आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– शौहर ने बादे दुख़ूल यह इक़रार किया कि मैंने दुख़ूल से पहले तलाक़ देदी थी यह तलाक़ वाक़ेअ् होगी और चूंकि क़ब्ले दुख़ूल तलाक़ का इक़रार किया है निस्फ़ महर लाज़िम होगा। और चूंकि बाद तलाक़ वती की है इससे महरे मिस्ल लाज़िम होगा। मर्द ने इक़रार किया कि मैंने इस औरत को तीन तलाक़ें देदी थीं और उससे क़ब्ल कि औरत दूसरे से निकाह करे फिर इसने उससे निकाह करलिया और औरत कहती है कि मुझे तलाक़ नहीं दी थी, या मैंने दूसरे से निकाह कर लिया था और उसने वती भी की थी इन दोनों में तफ़रीक़ करदी जायेगी फिर अगर दुख़ूल नहीं किया है तो निस्फ़ महर लाज़िम होगा और दुख़ूल करलिया तो पूरा महर और नफ़क़ए इद्दत भी लाज़िम है।

ख़रीद व फ़रोख़्त के मुताल्लिक़ इक़रार

मसअ्ला.1:– एक ने दूसरे से कहा, यह चीज़ मैंने कल तुम्हारे हाथ बैअ् की थी तुमने क़बूल नहीं की उसने कहा, मैंने क़बूल करली थी तो क़ौल उसी मुश्तरी का मोअ्तबर है और अगर मुश्तरी ने कहा, मैंने यह चीज़ तुमसे ख़रीदी थी तुमने क़बूल न की बाइअ् ने कहा, मैंने क़बूल की थी तो क़ौल बाइअ् का मोअ्तबर है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– यह इक़रार किया कि मैंने यह चीज़ फ़ुलां के हाथ बेची और स्मन वसूल पा लिया। यह इक़रार सही है अगरचे स्मन की मिक़दार न बयान की हो और अगर स्मन की मिक़दार बताता है और कहता है स्मन नहीं वसूल किया और मुश्तरी कहता है स्मन ले चुके हो तो क़सम के साथ बाइअ् का क़ौल मोअ्तबर होगा और गवाह मुश्तरी के मोअ्तबर होंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– यह इक़रार किया कि मैंने फ़ुलां शख़्स के हाथ मकान बेचा है मगर उस मकान को मुतअय्यन नहीं किया फिर इन्कार कर दिया वह इक़रार बातिल है और अगर मकान को मुतअय्यन कर दिया मगर स्मन का ज़िक्र नहीं किया यह इक़रार भी इन्कार करने से बातिल होजायेगा और अगर मकान के हुदूद बयान करदिये और स्मन भी ज़िक्र कर दिया तो बाइअ् पर यह बैअ् लाज़िम है अगरचे इन्कार करता हो, अगरचे गवाहाने इक़रार को मकान के हुदूद मालूम न हों हाँ यह ज़रूर है कि गवाहों से साबित हो कि वह मकान जिसके हुदूद बाइअ् ने बताये फ़ुलां मकान है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– यह कहा कि मेरे ज़िम्मे फ़ुलां के हज़ार रूपये फ़ुलां चीज़ के स्मन के हैं उसने कहा, स्मन तो किसी चीज़ का उसके जिम्मे नहीं है। अल'बत्ता क़र्ज़ है। मुक़िर'लहू हज़ार ले सकता है और अगर इतना कहकर कि स्मन तो बिल्कुल नहीं चाहिए ख़ामोश होगया फिर कहने लगा उसके जिम्मे मेरे हज़ार रूपये क़र्ज़ हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– यह इक़रार किया कि मैंने यह चीज़ फ़ुलां के हाथ बैअ् की और स्मन का ज़िक्र नहीं किया। मुश्तरी कहता है कि मैंने वह चीज़ पाँचसौ में ख़रीदी है बाइअ् किसी शय के बदले में बेचने से इन्कार करता है तो बाइअ् मुश्तरी के दावे पर हल्फ़ दिया जायेगा महज़ इक़रारे अव्वल की वजह से बैअ् लाज़िम नहीं होगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– यह इक़रार किया कि यह चीज़ मैंने फ़ुलां के हाथ एक हज़ार में बेची है उसने कहा, मैंने तो किसी दाम में भी नहीं ख़रीदी है फिर कहा हाँ हज़ार रूपये में ख़रीदी है अब बाइअ् कहता है मैंने तुम्हारे हाथ बेची ही नहीं इस सूरत में मुद्दई का क़ौल मोअ्तबर है उन दामों में चीज़ ले सकता है और अगर जिस वक़्त मुश्तरी ने ख़रीदने से इन्कार किया था बाइअ् कह देता कि सच कहते हो तुमने नहीं ख़रीदी उसके बाद मुश्तरी कहे कि मैंने ख़रीदी है तो न बैअ् लाज़िम होगी, न मुश्तरी के गवाह मक़बूल होंगे। हाँ अगर बाइअ् मुश्तरी के ख़रीदने की तस्दीक़ करे तो यह तस्दीक़ ब'मन्ज़िला बैअ् मानी जायेगी।

मसअ्ला.7:– यह कहा कि मैंने यह चीज़ फुलां के हाथ बैअ् की ही नहीं बल्कि फुलां के हाथ। यह इक़रार बातिल है अल'बत्ता अगर वह दोनों दावा करते हों तो उसको हर एक के मुक़ाबिल में हल्फ़ उठाना पड़ेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– वकील बिल'बैअ् ने बैअ् का इक़रार कर लिया यह इक़रार हक़्क़ मुवक्किल में भी सही है यानी मुवक्किल चीज़ देने से इन्कार नहीं कर सकता सम्न मौजूद हो या हलाक हो चुका हो दोनों का एक हुक्म है। मुवक्किल ने इक़रार किया कि वकील ने यह चीज़ फुलां के हाथ इतने में बैअ् करदी और वह मुश्तरी भी तस्दीक़ करता है मगर वकील बैअ् से इन्कार करता है तो चीज़ इतने ही दाम में मुश्तरी की होगई। मगर इसकी ज़िम्मेदारी मुवक्किल पर है वकील से इस बैअ् को कोई ताल्लुक़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– एक शख़्स ने अपनी चीज़ दूसरे शख़्स को बेचने के लिये दी मुवक्किल मरगया। वकील कहता है मैंने वह चीज़ हज़ार रूपये में बेच डाली और सम्न पर क़ब्ज़ा भी कर लिया अगर वह चीज़ मौजूद है वकील की बात मोअ्तबर नहीं और हलाक होचुकी है तो मोअ्तबर है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– एक मोअय्यन चीज़ के ख़रीदने का वकील है वकील इक़रार करता है कि मैंने वह चीज़ सौ रूपये में ख़रीदली बाइअ् भी यही कहता है मगर मुवक्किल इन्कार करता है इस सूरत में वकील की बात मोअ्तबर है और अगर ग़ैर मोअय्यन चीज़ के ख़रीदने का वकील था और इसकी जिन्स व सिफ़त व सम्न की तअ्ईन करदी थी वकील कहता है मैंने यह चीज़ मुवक्किल के हुक्म के मुवाफ़िक़ ख़रीदी है और मुवक्किल इन्कार करता है अगर मुवक्किल ने सम्न देदिया था तो वकील की बात मोअ्तबर है और नहीं दिया था तो मुवक्किल की। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– दो शख़्स बाइअ् हैं इनमें एक ने ऐब का इक़रार कर लिया दूसरा मुन्किर है तो जिसने इक़रार किया है उस पर वापसी हो सकती है दूसरे पर नहीं हो सकती और अगर बाइअ् एक है। मगर इसमें और दूसरे शख़्स के माबैन शिरकते मुफ़ावज़ा है बाइअ् ने ऐब से इन्कार किया और शरीक इक़रार करता है तो चीज़ वापस होजायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– मुस्लम इलैह ने कहा, तुमने दस रूपये से दो मन गेहूँ में सलम किया था मगर मैंने वह रूपये नहीं लिये थे। रब्बुस्सलम कहता है रूपये लेलिये थे अगर फ़ौरन कहा, इसकी बात मानली जायेगी और कुछ देर के बाद कहा, मुसल्लम नहीं। यूंही अगर एक शख़्स ने कहा, तुमने मुझे हज़ार रूपये क़र्ज़ देने कहे थे मगर दिये नहीं वह कहता है, दे दिये थे अगर यह बात फ़ौरन कही, मुसल्लम है और फ़ासिला के बाद कही, मोअ्तबर नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– मुज़ारिब ने माले मुज़ारबत में दैन का इक़रार किया अगर माले मुज़ारबत मुज़ारिब के हाथ में है मुज़ारिब का इक़रार रब्बुल'माल पर लाज़िम होगा और मुजारिब के हाथ में नहीं है तो रब्बुल'माल पर इक़रार लाज़िम नहीं होगा। मज़दूर की उजरत, जानवर का किराया, दुकान का किराया, इन सब चीजों का मुज़ारिब ने इक़रार किया वह इक़रार रब्बुल'माल पर लाज़िम होगा जब कि माले मुज़ारबत अभी तक मुजारिब के पास हो और अगर माल दे दिया और कह दिया कि यह अपना रासुल'माल लो इसके बाद इस किस्म के इक़रार बेकार हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– मुजारिब ने एक हज़ार रूपये नफ़ा का इक़रार किया फिर कहता है मुझसे ग़लती हो गई पाँचसौ रूपये नफ़ा के हैं इसकी बात ना'मोअ्तबर है। जो कुछ पहले कहचुका है उसका ज़ामिन है(आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– मुज़ारिब ने बैअ् की है मबीअ् के ऐब का रब्बुल'माल ने इक़रार किया मुश्तरी मबीअ् को मुजा'रिब पर वापस नहीं कर सकता और बाइअ् ने इक़रार किया तो दोनों पर लाज़िम होगा(आलमगीरी)

वसी का इक़रार

मसअ्ला.16:– वसी ने यह इक़रार किया कि मय्यित का जो कुछ फुलां के ज़िम्मे था मैंने सब वसूल कर लिया और यह नहीं बताया कि कितना था फिर यह कहा, कि मैंने सौ रूपये उससे

वसूल किये हैं मदयून कहता है कि मेरे ज़िम्मे मय्यित के हज़ार रूपये थे और वसी ने सब वसूल कर लिये अगर मय्यित ने मदयून से दैन का मुआमला किया था फिर वसी और मदयून ने इस तरह इक़रार किया तो मदयून बरी होगया यानी वसी अब उससे कुछ नहीं वसूल कर सकता और वसी का कौल क़सम के साथ मोअ्तबर है यानी वसी से भी वुरसा नौ सौ का मुतालबा नहीं कर सकते और अगर वुरसा ने मदयून के मुक़ाबिल में गवाहों से उसका मदयून होना साबित किया, जब भी वसी के इक़रार की वजह से मदयून बरी होगया मगर वसी पर नौ सौ रूपये तावान के वाजिब हैं जो वुरसा उससे वसूल करेंगे। और अगर मदयून ने पहले ही दैन का इक़रार किया है और यह कि वह हज़ार रूपये है इसके बाद वसी ने इक़रार किया कि जो कुछ उसके ज़िम्मे था मैंने सब वसूल कर लिया, फिर बाद में यह कहा, कि मैंने उससे सौ रूपये वसूल किये हैं तो मदयून बरी होगया मगर वसी नौ सौ अपने पास से वुरसा को दे, यह तमाम बातें उस सूरत में हैं कि एक सौ वसूल करने का इक़रार वसी ने फ़स्ल के साथ किया, और अगर यह इक़रार मौसूल हो यानी यूँ कहा, कि जो कुछ मय्यित का उसके ज़िम्मे था मैंने सब वसूल करलिया और वह सौ रूपये थे और मदयून कहता है कि सौ नहीं, बल्कि हज़ार थे और तुमने सब लेलिये तो वसी के इस बयान की तस्दीक़ की जायेगी और मदयून से नौ सौ का मुतालबा होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.17:– वसी ने वुरसा का माल बैअ् किया, और गवाहों से साबित किया कि पूरा समन मैंने वसूल किया और समन सौ रूपये था मुश्तरी कहता है डेढ़ सौ समन था। वसी का कौल मोअ्तबर होगा। मगर मुश्तरी से भी पचास का मुतालबा न होगा और अगर वसी ने इक़रार किया कि मैंने सौ रूपये वसूल किये और यही पूरा समन था। मुश्तरी कहता है डेढ़ सौ समन था तो मुश्तरी पचास रूपये और दे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– वसी ने इक़रार किया कि जो कुछ मय्यित का फुलां के ज़िम्मे था मैंने सब वसूल कर लिया और कुल सौ रूपये था मगर गवाहों से साबित हुआ कि उसके ज़िम्मे दो सौ थे तो मदयून से सौ रूपये वसूल किये जायेंगे। वसी अपने इक़रार से उनको बातिल नहीं कर सकता(आलमगीरी)

मसअ्ला.19:– वसी ने इक़रार किया कि लोगों के ज़िम्मे मय्यित के जो कुछ दुयून थे मैंने सब वसूल कर लिये इसके बाद एक शख़्स आता है, और कहता है मैं भी मय्यित का मदयून हूँ, और मुझसे भी वसी ने दैन वसूल किया। वसी कहता है न मैंने तुमसे कुछ लिया है, और न मुझे यह मालूम है कि मय्यित का दैन तुम्हारे ज़िम्मे भी है तो वसी का क़ौल मोअ्तबर है और उस मदयून ने चूंकि दैन का इक़रार किया है उससे दैन वसूल किया जायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.20:– वसी ने इक़रार किया कि फुलां शख़्स पर मय्यित का जो कुछ दैन था मैंने सब वसूल कर लिया मदयून कहता है कि मुझ पर हज़ार रूपये थे। वसी कहता है हाँ हजार थे मगर पाँचसौ रूपये तुमने मय्यित को उसकी ज़िन्दगी में ख़ुद उसे देदिये थे और पाँचसौ मुझे दिये थे। मदयून कहता है मैंने हज़ार तुम्हें देदिये हैं वसी पर हज़ार रूपये लाज़िम हैं मगर वुरसा उसको हलफ़ देंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.21:– वसी ने इक़रार किया कि मय्यित के मकान में जो कुछ नक़द व असासा था मैंने सब पर क़ब्ज़ा करलिया इसके बाद फिर कहता है कि मकान में सौ रूपये थे और पाँच कपड़े थे। वुरसा ने गवाहों से साबित किया कि जिस दिन मरा था मकान में हज़ार रूपये और सौ कपड़े थे। वसी इतने ही का ज़िम्मेदार है जितने पर उसने क़ब्ज़ा किया जब तक गवाहों से यह साबित न हो कि उससे ज़ाइद पर क़ब्ज़ा किया था। (आलमगीरी)

वदीअ़त व ग़सब वग़ैरा का इक़रार

मसअ्ला.1:– यह इक़रार किया कि मैंने उसका एक कपड़ा ग़सब किया, या उसने मेरे पास कपड़ा अमानत रखा और एक ऐबदार कपड़ा लाकर कहता है यह वही है। मालिक कहता है, यह वह नहीं है मगर उसके पास गवाह नहीं तो क़सम के साथ ग़ासिब या अमीन का ही क़ौल मोअ्तबर है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– यह कहा कि मैंने तुमसे हज़ार रूपये अमानत के तौर पर लिये और वह हलाक हो गये मुक़िर'लहू ने कहा, नहीं बल्कि तुमने वह रूपये ग़सब किये हैं मुक़िर को तावान देना पड़ेगा और अगर यूं इक़रार किया तुमने मुझे हज़ार रूपये अमानत के तौर पर दिये वह ज़ाइअ् होगये और मुक़िर'लहू कहता है नहीं बल्कि तुमने ग़सब किये तो मुक़िर पर तावान नहीं और अगर यूं इक़रार किया कि मैंने तुमसे हज़ार रूपये अमानत के तौर पर लिये उसने कहा नहीं बल्कि क़र्ज़ लिये हैं। यहाँ मुक़िर का क़ौल मोअ्तबर होगा। यह कहा, कि यह हज़ार रूपये मेरे फुलां के पास अमानत रखे थे मैं लेआया वह कहता है, नहीं बल्कि वह मेरे रूपये थे जिसको वह लेगया तो इसी की बात मोअ्तबर होगी जिसके यहाँ से इस वक़्त रूपये लाया है क्योंकि पहला शख़्स इस्तेह़क़ाक़ का मुद्दई है (अपना हक़ साबित करने का दावेदार है) और यह मुन्किर है लिहाज़ा रूपये मौजूद हों तो वह वापस करे वरना उनकी क़ीमत अदा करे। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– मैंने अपना यह घोड़ा फुलां को किराये पर दिया था उसने सवारी लेकर वापस कर दिया, या यह कपड़ा मैंने उसे आरियत, या किराये पर दिया था उसने पहनकर वापस देदिया, या मैंने अपना मकान उसे सुकूनत के लिये दिया था उसने कुछ दिनों रहकर वापस कर दिया वह शख़्स कहता है, नहीं बल्कि यह चीज़ें ख़ुद मेरी हैं इन सब सूरतों में मुक़िर का क़ौल मोअ्तबर है यूंही यह कहता है कि फुलां से मैंने अपना यह कपड़ा इतनी उजरत पर सिलवाया और उसपर मैंने क़ब्ज़ा कर लिया वह कहता है यह कपड़ा मेरा ही है यहाँ भी मुक़िर ही का क़ौल मोअ्तबर है(हिदाया)

मसअ्ला.4:– दर्ज़ी के पास कपड़ा है कहता है यह कपड़ा फुलां का है और मुझे फुलां शख़्स (दूसरे का नाम लेकर कहता है) कि उसने दिया है और वह दोनों इस कपड़े के मुद्दई हैं तो जिसका नाम दर्ज़ी ने पहले लिया उसी को दिया जायेगा यही हुक्म धोबी और सुनार का है और यह सब दूसरे को तावान भी नहीं देंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– यह हज़ार रूपयें मेरे पास ज़ैद की अमानत हैं नहीं बल्कि अम्र की तो यह हज़ार जो मौजूद हैं यह तो ज़ैद को दे, और इतने ही अपने पास से अम्र को दे कि जब ज़ैद के लिये इक़रार कर चुका है तो उससे रुजूअ् नहीं कर सकता। (दुरर, गुरर) यह उस वक़्त है कि ज़ैद भी अपने रूपये उसके पास बताता हो।

मसअ्ला.6:– यह कहा, कि हज़ार रूपये ज़ैद के हैं नहीं बल्कि अम्र के हैं इसमें अमानत का लफ़्ज़ नहीं कहा तो वह रूपये ज़ैद को दे अम्र का उसपर कुछ वाजिब नहीं यह उस सूरत में है कि मुअय्यन का इक़रार हो और अगर ग़ैर मुअय्यन शय का इक़रार हो मसलन यह कहा कि मैंने फुलां के सौ रूपये ग़सब किये नहीं बल्कि फुलां के, इस सूरत में दोनों को देना होगा कि दोनों के हक़ में इक़रार सही है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– एक ने दूसरे से कहा, मैंने तुमसे एक हज़ार बतौर अमानत लिये थे और एक हजार ग़सब किये थे अमानत के रूपये ज़ाइअ् होगये और ग़सब वाले यह मौजूद हैं लेलो तो मुक़िर यह कहता है कि यह अमानत वाले रूपये हैं और ग़सब वाले हलाक होगये इसमें मुक़िर'लहू का क़ौल मोअ्तबर होगा यानी यह हज़ार भी लेगा और एक हज़ार तावान लेगा। यूंही अगर मुक़िर'हू यह कहता है कि नहीं, बल्कि तुमने दो हज़ार ग़सब किये थे तो मुक़िर से दोनों हज़ार वसूल करेगा। और अगर मुक़िर के यह अल्फ़ाज़ थे कि तुमने एक हज़ार मुझे बतौर अमानत दिये थे और एक हज़ार मैंने तुमसे ग़सब किये थे अमानत वाले ज़ाइअ् होगये, और ग़सब वाले यह मौजूद हैं और मुक़िर'लहू, यह कहता है कि ग़सब वाले ज़ाइअ् हुए तो इस सूरत में मुक़िर का क़ौल मोअ्तबर होगा यानी यह हज़ार मौजूद हैं ले ले, और तावान कुछ नहीं। (ख़ानिया)

मसअ्ला.8:– एक शख़्स ने कहा, मैंने तुमसे हज़ार रूपये बतौर अमानत लिये थे वह हलाक हो गये। दूसरे ने कहा, बल्कि तुमने ग़सब किये थे। मुक़िर पर तावान वाजिब है कि लेने का इक़रार

सबबे ज़िमान का इकरार है मगर उसके साथ अमानत का दावा है और मुकिर'लहू उससे मुन्किर है। लिहाज़ा इसी का कौल मोअतबर, और अगर यह कहा, कि तुमने मुझे हज़ार रूपये अमानत के तौर पर दिये वह हलाक होगये। दूसरा यह कहता है कि तुमने गसब किये थे तो तावान नहीं कि इस सूरत में उसने सबबे ज़िमान का इकरार ही नहीं किया बल्कि देने का इकरार है और देना मुकिर' लहू का फेअ्ल है। (हिदाया)

मसअ्ला.9:– यह कहा कि यह फ़ुलां शख़्स पर मेरे हज़ार रूपये थे मैंने वसूल पाये उसने कहा, तुमने यह हज़ार रूपये मुझसे लिये हैं और तुम्हारा मेरे ज़िम्मे कुछ नहीं था तुम वह रूपये वापस करो। अगर यह करार खाजाये कि उसके ज़िम्मे कुछ न था तो उसे वापस करने होंगे। यूंही अगर उसने यह इकरार किया था कि मेरी अमानत उसके पास थी मैंने लेली, या मैंने हिबा किया था, वापस लेलिया। दूसरा कहता है कि न अमानत थी, न हिबा था, वह मेरा माल था जो तुमने लेलिया वापस करना होगा। (मब्सूत)

मसअ्ला.10:– इकरार किया कि यह हज़ार रूपये मेरे पास तुम्हारी वदीअत (अमानत) हैं। मुकिर'लहू ने जवाब में कहा, कि वदीअत नहीं हैं बल्कि कर्ज़ हैं, या मबीअ् के समन हैं। मुकिर ने कहा कि न वदीअत हैं, न दैन। अब मुकिर'लहू यह चाहता है कि दैन में उन रूपयों को वसूल करले नहीं कर सकता क्योंकि वदीअत का इकरार उसके रद्द करने से रद्द होगा और दैन का इकरार था ही नहीं लिहाज़ा मुआमला ख़त्म और अगर सूरत यह है कि मुकिर ने वदीअत का इकरार किया और मुकिर'लहू ने कहा कि वदीअत नहीं बल्कि बि'ऐनेही यही रूपये मैंने तुम्हें कर्ज़ दिये हैं और मुकिर ने कर्ज़ से इन्कार कर दिया तो मुकिर'लहू बि'ऐनेही यही रूपये ले सकता है और अगर मुकिर ने भी कर्ज़ की तस्दीक़ करदी तो मुकिर'लहू बि'ऐनेही रूपये नहीं ले सकता। (ख़ानिया)

मसअ्ला.11:– अगर यह कहा कि ज़ैद के घर में मैंने सौ रूपये लिये थे फिर कहा, वह मेरे ही थे, या यह कहा, कि वह रूपये अम्र के थे। वह रूपये साहिबे ख़ाना यानी जैद को वापस दे और अम्र को अपने पास से सौ रूपये दे। यूंही अगर यह कहा कि ज़ैद के सन्दूक़ या उसकी थैली में से मैंने सौ रूपये लिये फिर यह कहा, कि वह अम्र के थे। वह रूपये ज़ैद को दे और अम्र के लिये चूंकि इकरार किया उसे तावान दे। (ख़ानिया)

मसअ्ला.12:– यह कहा, कि फ़ुलां के घर में से मैंने सौ रूपये लिये फिर कहा, उस मकान में मैं रहता था वह मेरे किराये में था इसकी बात मोअ्तबर नहीं यानी तावान देना होगा हाँ अगर गवाहों से इसमें अपनी सुकूनत या किराये पर होना साबित करदे तो ज़िमान से बरी है। (ख़ानिया)

मसअ्ला.13:– यह कहा, कि फ़ुलां के घर में मैंने अपना कपड़ा रखा था फिर लेआया तो उसके ज़िम्मे तावान नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– यह कहा, कि फ़ुलां शख़्स की ज़मीन खोदकर उसमें से हज़ार रूपये निकाल लाया। मालिक ज़मीन कहता है वह रूपये मेरे थे और यह कहता है मेरे हैं। मालिक ज़मीन का कौल मोअ्तबर है। मालिक ज़मीन ने गवाहों से साबित किया कि फ़ुलां शख़्स ने उसकी ज़मीन खोदकर हज़ार रूपये निकाल लिये हैं वह कहता है मैंने ज़मीन खोदी ही नहीं या यह कहता है कि वह रूपये मेरे थे, वह रूपये मालिक ज़मीन के क़रार दिये जायेंगे। (आलमगीरी)

मुतफ़र्रिक़ात

मसअ्ला.1:– ज़ैद के अम्र के ज़िम्मे दस रूपये और दस अशर्फ़ियां हैं ज़ैद ने कहा, मैंने अम्र से रूपये वसूल पाये नहीं बल्कि अशर्फ़ियाँ वसूल हुई हैं। अम्र कहता है दोनों चीज़ें तुमने वसूल पाई तो दोनों की वसूली क़रार दी जायेंगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– एक शख़्स के दूसरे पर एक दस्तावेज़ की रू से दस रूपये हैं और दस रूपये दूसरी दस्तावेज़ की रू से हैं। दाइन ने कहा, मैंने मदयून से दस रूपये इस दस्तावेज़ वाले वसूल पाये नहीं

बल्कि उस दस्तावेज़ वाले वसूल पाये दस ही रूपये की वसूली क़रार पायेगी। इख़्तियार है कि जिस दस्तावेज़ वाले चाहे क़रार दे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– ज़ैद के अम्र के ज़िम्मे सौ रूपये हैं और बकर के ज़िम्मे सौ रूपये हैं और अम्र व बकर एक दूसरे का कफ़ील है। ज़ैद ने इक़रार किया मैंने अम्र से दस रूपये वसूल पाये, नहीं बल्कि बकर से तो अम्र व बकर दोनों से दस–दस रूपये वसूल करने का इक़रार क़रार पायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– एक शख़्स के दूसरे शख़्स पर हज़ार रूपये हैं दाइन ने कहा, तुमने उसमें से सौ रूपये अपने हाथ से दिये नहीं बल्कि ख़ादिम के हाथ भेजे तो यह सौ ही का इक़रार है और अगर उन रूपयों का कोई शख़्स कफ़ील है और दाइन ने यह कहा, कि तुमसे मैंने सौ रूपये वसूल पाये नहीं बल्कि तुम्हारे कफ़ील से तो हर एक से सौ–सौ रूपये लेने का इक़रार है और अगर दाइन इन दोनों पर हल्फ़ देना चाहे नहीं दे सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– दाइन ने मदयून से कहा, सौ रूपये तुमसे वसूल हो चुके, मदयून ने कहा और दस रूपये मैंने तुम्हारे पास भेजे थे और दस रूपये का कपड़ा तुम्हारे हाथ फ़रोख़्त किया है दाइन ने कहा, तुम सच कहते हो यह सब उन्हीं सौ में हैं। दाइन का कौल क़सम के साथ मोअ्तबर है (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– एक शख़्स ने दूसरे से कोई चीज़ ख़रीदी बाइअ् ने कहा, मैंने मुश्तरी से समन ले लिया फिर बाइअ् ने कहा, मुश्तरी के मेरे ज़िम्मे रूपये थे उससे मैंने मुक़ास्सा (अदला बदला) कर लिया। बाइअ् की बात नहीं मानी जायेगी और अगर बाइअ् ने पहले यह कहा कि मुश्तरी के रूपये मेरे ज़िम्मे थे उससे मैंने मुक़ास्सा कर लिया और बाद में यह कहा, कि समन के रूपये मुश्तरी से ले लिये तो बाइअ् का कौल मोअ्तबर है यूंही अगर बाइअ् ने यह कहा कि समन के रूपये वसूल होगये या वह समन के रूपये से बरी होगया। फिर कहता है मैंने मुक़ास्सा कर लिया तो इसकी बात मान ली जायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– मुक़िर'लहू एक शख़्स है और मुक़िर ने नफ़ी व इस्बात के तौर पर दो चीज़ों का इक़रार किया तो जो मिक़दार में ज़्यादा होगी और वस्फ़ में बेहतर होगी वह वाजिब होगी मसलन ज़ैद के मुझपर एक हज़ार रूपये हैं, नहीं बल्कि दो हज़ार या यूं कहा, उसके मुझपर एक हज़ार रूपये खरे हैं, नहीं बल्कि खोटे, या उसका अक्स यानी यूं कहा, उसके मुझपर दो हजार हैं, नहीं बल्कि एक हज़ार, या एक हज़ार खोटे हैं, नहीं बल्कि खरे इन सबका हुक्म यह है कि पहली सूरत में दो हज़ार वाजिब और दूसरी सूरत में खरे रूपये वाजिब और अगर जिन्स मुख़्तलिफ़ हों मसलन उसके मुझपर एक हज़ार रूपये हैं, नहीं बल्कि एक हज़ार अशर्फ़ी दोनों चीज़ें वाजिब एक हज़ार वह एक हज़ार यह। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.8:– यह कहा कि ज़ैद पर जो मेरा दैन है वह अम्र का है या यह कहा, कि ज़ैद के पास जो मेरी अमानत है वह अम्र की है, यह अम्र के लिये उस दैन व अमानत का इक़रार है मगर उस दैन या अमानत पर कब्ज़ा मुक़िर का हक़ है मगर इस लफ़्ज़ को हिबा क़रार देना गुज़श्ता बयान के मुवाफ़िक़ होगा लिहाज़ा तस्लीमे वाहिब (हिबा करने वाले का सिपुर्द कर देना) और क़ब्ज़ा–ए–मौहूब लहू (जिसे हिबा किया उस का क़ब्ज़ा कर लेना) ज़रूरी होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

इक़रारे मरीज़ का बयान

मरीज़ से मुराद वह है जो मरजुल'मौत में मुब्तला हो और इसकी तारीफ़ किताबुत'तलाक़ में ज़िक्र होचुकी है वहाँ से मालूम करें।

मसअ्ला.1:– मरीज़ के ज़िम्मे जो दैन है जिसका वह इक़रार करता है वह हालते सेहत का दैन है या हालते मर्ज़ का और उसका सबब मारूफ़ है या ग़ैर मारूफ़ और इक़रार अजनबी के लिये है, या वारिस् के लिये। इन तमाम सूरतों के अहकाम बयान किये जायेंगे।

मसअ्ला.2:– सेहत का दैन चाहे उसका सबब मालूम हो, या न हो और मरजुल'मौत का दैन जिसका सबब मारूफ़ व मशहूर हो मसलन कोई चीज़ ख़रीदी है उसका समन, किसी की चीज़ हलाक कर दी है उसका तावान, किसी औरत से निकाह किया है उसका महर मिस्ल, यह दुयून

(क़र्ज़ों) उन दुयून पर मुक़द्दम हैं जिनका ज़माना–ए–मर्ज़ में उसने इक़रार किया है। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– सबबे मारूफ़ का यह मतलब है कि गवाहों से उसका सुबूत हो या क़ाज़ी ने खुद उसका मुआयना किया हो और सबब से वह सबब मुराद है जो तबर्रोअ् न हो जैसे निकाह मुशाहिद और बैअ् और अतलाफ़े माल कि इनको लोग जानते हों। महरे मिस्ल से ज़्यादा पर मरीज़ ने निकाह किया तो जो कुछ महरे मिस्ल से ज़्यादती है यह बातिल है अगरचे निकाह सही है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– मरीज़ ने अजनबी के हक़ में इक़रार किया, यह इक़रार जाइज़ है अगरचे उसके तमाम अम्वाल को इहाता करले (यानी जितने माल का इक़रार किया वह तर्का के माल से ज़्यादा होजाये (अमीनुल क़ादरी)) और वारिस् के लिये मरीज़ ने इक़रार किया, तो जब तक दीगर वुरसा उसकी तस्दीक़ न करें, जाइज़ नहीं, और अजनबी के लिये भी तमाम माल का इक़रार उस वक़्त सही है जब सेहत का दैन उसके ज़िम्मे न हो यानी अलावा मुक़िर'लहू के दूसरे लोगों का दैन हालते सेहत में जो मालूम था, न हो वरना पहले दैन अदा किया जायेगा। इससे जब बचेगा, तो उस दैन को अदा किया जायेगा जिसका मर्ज़ में इक़रार किया है बल्कि ज़माना–ए–सेहत के दैन को उस वदीअत पर मुक़द्दम करेंगे जिसका सुबूत महज़ मरीज़ के इक़रार से हो। (रद्दुल'मोहतार)

मसअ्ला.5:– मरीज़ को यह इख़्तियार नहीं, कि बाज़ दाइन का दैन अदा करदे, बाज़ का अदा न करे, यानी अगर उसने ऐसा किया है और कुल माल ख़त्म होगया, या दूसरे लोगों का दैन हिस्सा रसद के मुवाफ़िक़ (यानी जितना दैन बनता है उसके मुताबिक़) नहीं वसूल होगा तो जो कुछ मरीज़ ने अदा किया है उसमें बक़िया दैन वाले भी शरीक होंगे यह नहीं तन्हा उन्हीं का होजाये, जिनको दिया है अगरचे यह दैन जो अदा किया, ज़ौजा का महर हो या किसी मज़दूर, या मुलाज़िम की उजरत, या तन्ख़्वाह हो। (बहर)

मसअ्ला.6:– ज़माना–ए–मर्ज़ में मरीज़ ने किसी से क़र्ज़ लिया है या कोई चीज़ ज़माना–ए–मर्ज़ में ख़रीदी है बशर्ते कि मिस्ल क़ीमत पर ख़रीदी हो इस क़र्ज़ को अदा करने, या मबीअ् के समन देने में रूकावट नहीं है यानी इसमें दूसरे दाइन शरीक नहीं हैं तन्हा यही मालिक है, जिनको दिया। बशर्ते कि यह क़र्ज़ व बैअ् बय्यिना (गवाहों) से साबित हों, यह न हो, कि महज़ मरीज़ के इक़रार से इसका सुबूत हो। (बहर)

मसअ्ला.7:– मरीज़ ने कोई चीज़ ख़रीदी, और उसका समन अदा नहीं किया, यहाँ तक कि मर गया, तो अगर मबीअ् अभी तक बाइअ् के क़ब्ज़े में है तो इसका तन्हा बाइअ् हक़दार होगा दूसरे दैन वाले इस मबीअ् का मुतालबा नहीं कर सकते यह नहीं कह सकते कि यह चीज़ उस मरने वाले मदयून (मक़रूज़) की है। लिहाज़ा हम भी इसमें से अपना दैन वसूल करेंगे और अगर मबीअ् इस मुश्तरी के हाथ पहुँच चुकी है इसके बाद मरा तो जैसे दूसरे दैन वाले हैं बाइअ् भी एक दाइन है सबके साथ शरीक है हिस्सा–ए–रसद के मुवाफ़िक़ यह भी लेगा।(बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– मरीज़ ने एक दैन का इक़रार किया, फिर दूसरे दैन का इक़रार किया मसलन पहले कहा, ज़ैद के मेरे ज़िम्मे इतने रूपये हैं फिर कहा अम्र के मेरे ज़िम्मे इतने रूपये हैं दोनों इक़रार बराबर हैं देने में एक को दूसरे पर तरजीह नहीं चाहिए यह दोनों इक़रार मुत्तसिल हों या फ़स्ल के साथ हों और अगर पहले दैन का इक़रार किया, फिर अमानत का, कि यह चीज़ मेरे पास फ़ुलां की अमानत है यह दोनों भी बराबर हैं। और अगर पहले अमानत का इक़रार है उसके बाद दैन का, तो अमानत को दैन पर मुक़द्दम रखा जायेगा। (बहर)

मसअ्ला.9:– वदीअत का इक़रार किया कि फ़ुलां के हज़ार रूपये मेरे पास वदीअत हैं और मर गया, वह हज़ार वदीअत के मुमताज़ नहीं हैं तो मिस्ल दीगर दुयून के यह भी एक दैन क़रार पायेगा जो तर्का से अदा किया जायेगा और अगर मरीज़ के पास हज़ार रूपये हैं और सेहत के ज़माना का उस पर कोई दैन नहीं है उसने इक़रार किया कि मुझ पर फ़ुलां के हज़ार रूपये दैन हैं फिर इक़रार किया कि यह हज़ार रूपये जो मेरे पास हैं फ़ुलां शख़्स की वदीअत है, फिर एक तीसरे शख़्स के

लिये हज़ार रूपये दैन का इक़रार किया तो यह हज़ार रूपये जो मौजूद हैं तीनों पर बराबर–बराबर तक़सीम होंगे और अगर पहले शख़्स ने कह दिया कि मेरा इस पर कोई हक़ नहीं है, या मैंने मुआफ़ कर दिया, तो इसकी वजह से तीसरे दाइन का हक़ बातिल नहीं होगा बल्कि मुवद्दे‌अ् (अमानत रखवाने वाले) और दाइन में, यह रूपये निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम होंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– मरीज़ ने इक़रार किया कि मेरे बाप के ज़िम्मे फ़ुलां शख़्स का इतना दैन है और उसके क़ब्ज़े में एक मकान है जो उसके बाप का था और खुद उस मरीज़ पर ज़माना सेहत का भी दैन है इस सूरत में अव्वलन दैने सेहत को अदा करेंगे। इससे जब बचेगा तो उसके बाप का दैन जिसका उसने इक़रार किया है अदा किया जायेगा और अगर अपने बाप के दैन का बाप के मरने के बाद ही ज़माना–ए–सेहत में इक़रार किया है तो उस मकान को बेचकर पहले उसके बाप का दैन अदा किया जायेगा जिन लोगों का उस पर दैन है वह अपना दैन नहीं ले सकते जब तक उसके बाप का दैन अदा न होजाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– मरीज़ ने इक़रार किया कि वारिस् के पास जो मेरी वदीअत या आ़रियत थी मिलगई या माले मुज़ारबत था वसूल पाया, उसकी बात मान ली जायेगी। यूंही अगर वह कहता है कि मौहूब लहु (जिसे हिबा किया गया) से मैंने हिबा को वापस लेलिया या जो चीज़ बैअ् फ़ासिद के साथ बेची थी वापस ली, या मग़सूब, (ग़सब की हुई चीज़) या रहन को वसूल पाया, यह इक़रार सही है। अगरचे इस पर ज़माना–ए–सेहत का दैन हो जबकि यह सब यानी मौहूब लहू वगै़रा अजनबी हों और अगर वारिस् से वापस लेने का इन सूरतों में इक़रार करे, तो उसकी बात मानी जायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– मरीज़ ने अपने मद्यून से दैन को मुआफ़ कर दिया, अगर यह मरीज़ खुद मद्यून है। और जिससे दैन को मुआफ़ किया है वह अजनबी है। यह मुआफ़ करना जाइज़ नहीं और अगर खुद मद्यून नहीं है तो अजनबी पर से दैन को बक़द्र अपने सुलुस् माल के मुआफ़ कर सकता है और वारिस् से दैन को मुआफ़ करे, तो चाहे खुद मद्यून हो, या न हो। वारिस् पर इसालतन दैन हो, या उसने किफ़ालत की हो, हर सूरत में जाइज़ नहीं और अगर मरीज़ ने यह कहदिया कि उस पर मेरा कोई हक़ ही नहीं है यह इक़रार क़ज़ाअ्न सही है। अब मुतालबा क़ाज़ी के यहाँ नहीं होगा। मगर दयानतन सही नहीं यानी अगर वाक़ेअ् में मुतालबा था, और उसने ऐसा कहदिया, तो मुआख़िज़ा–ए–उख़रवी है। (बहर)

मसअ्ला13:– मरीज़ ने इक़रार किया कि मैंने अपनी यह चीज़ फ़ुलां के हाथ सेहत के ज़माने में बेचदी है और उसका स्मन भी वसूल कर लिया है और मुश्तरी भी इस का दावा करता हो तो बैअ् के हक़ में उसका इक़रार सही है और स्मन वसूल करने के हक़ में बक़द्र सुलुस् माल के सही इससे ज़्यादा में सही नहीं। (बहर)

मसअ्ला.14:– यह इक़रार किया कि मेरा दैन जो फ़ुलां के ज़िम्मे था मैंने वसूल पाया अगर वह दैन सेहत के ज़माने का था तो मरीज़ का यह इक़रार सही है चाहे उस पर खुद दैन हो या न हो अगर यह दैन ज़माना–ए–मर्ज़ का था और खुद उस पर ज़माना–ए–सेहत का दैन है तो यह इक़रार सही नहीं और अगर उसपर सेहत का दैन न हो तो ब'क़द्र सुलुस् माल यह इक़रार सही है। यह चीज़ मैंने फ़ुलां वारिस् के हाथ सेहत के ज़माने में बैअ् करदी और स्मन भी वसूल पाया यह इक़रार सही नहीं। (बहर)

मसअ्ला.15:– मरीज़ ने अपनी औ़रत से खुलअ् किया, और औ़रत की इद्दत भी पूरी होगई। अब वह कहता है मैंने बदले खुलअ् वसूल पाया। अगर उस पर ज़मान–ए–सेहत का दैन है न मर्ज़ का, तो उसकी बात मानली जायेगी। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.16:– सेहत में ग़बने फ़ाहिश के साथ कोई चीज़ बशर्ते ख़्यार ख़रीदी थी और मर्ज़ में उस बैअ् को जाइज़ किया, या साकित (चुप रहा) रहा, यहाँ तक कि मुददते ख़्यार गुज़र गई इसके बाद

मरगया, तो यह बैअ् सुलुस से नाफ़िज़ होगी। (बहर)

मसअ्ला.17:– औरत ने मर्ज़ में इक़रार किया, मैंने शौहर से अपना महर वसूल पाया अगर ज़ौजियत, या इद्दत में मरगई, उसका यह इक़रार जाइज़ नहीं और अगर यह दोनों बातें नहीं हैं मस्लन शौहर ने क़ब्ले दुख़ूल तलाक़ देदी है यह इक़रार जाइज़ है। मरीज़ा ने शौहर से महर मुआफ़ करदिया, यह दूसरे वुरसा की इजाज़त पर मौक़ूफ़ है। (रद्दुल'मोहतार)

मसअ्ला.18:– मरीज़ ने यह कहा, कि दुनिया में मेरी कोई चीज़ ही नहीं है और मरगया, बक़िया वुरसा को इख़्तियार है कि उसकी ज़ौजा और बेटी से इस बात पर क़सम खिलायें कि 'हम नहीं जानते हैं कि मुतवफ़्फ़ा (जो मरा) के तर्का में कोई चीज़ थी। (रद्दुल'मोहतार)

मसअ्ला.19:– मरीज़ ने दूसरे पर बहुत कुछ अम्वाल का दावा किया था मुद्दई ने मुद्दा'अलैह से ख़ुफ़िया थोड़े से माल पर मुसालहत करली और एलानिया यह इक़रार करलिया कि इसके ज़िम्मे मेरा कुछ नहीं है और मरगया। इसके बाद वुरसा ने दावा किया, और गवाहों से साबित किया कि हमारे मूरिस् के बहुत कुछ अम्वाल इस शख़्स के ज़िम्मे हैं, हमारे मूरिस् ने हमको महरूम करने के लिये यह तर्कीब की है यह दावा मसमूअ् न होगा। और अगर मुद्दा'अलैह भी वारिस् था और यही तमाम मुआमलात पेश आये, तो बक़िया वुरसा का दावा मसमूअ् होगा। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.20:– जिस वारिस् के लिये मरीज़ ने इक़रार किया है कि उस शख़्स ने मेरे लिए सेहत के ज़माने में इक़रार किया था और बक़िया वुरसा यह कहते हैं कि मर्ज़ में इक़रार किया था तो क़ौल उन बक़िया वुरसा का मोअ्तबर है और अगर दोनों ने गवाह पेश किये तो मुक़िर'लहू के गवाह मोअ्तबर हैं और अगर मुक़िर'लहू के पास गवाह न हों, तो उन वुरसा पर हलफ़ दे सकता है। (बहर)

मसअ्ला.21:– यह जो कहा गया है कि वारिस् के लिये मरीज़ का इक़रार बातिल है इससे मुराद वह वारिस् है जो ब'वक़्ते मौत वारिस् हुआ यह नहीं, कि ब'वक़्ते इक़रार वारिस् हो यानी जिस वक़्त उसके लिये इक़रार किया था वारिस् न था और उसके मरने के वक़्त वारिस् होगया यह इक़रार बातिल है मगर जबकि विरासत का जदीद सबब पैदा होजाये मस्लन निकाह लिहाज़ा अगर किसी औरत के लिये इक़रार किया था उसके बाद निकाह किया, वह इक़रार सही है और अगर अपने भाई के लिये इक़रार किया था जो महजूब था मगर उसके मरने के वक़्त महजूब न रहा, जब उसने इक़रार किया था उस वक़्त उसका बेटा मौजूद था और बाद में बेटा मर गया, अब भाई वारिस् हो गया, इक़रार बातिल है और अगर इक़रार के वक़्त भाई वारिस् था मस्लन मरीज़ का कोई बेटा न था उसके बाद बेटा पैदा हुआ अब भाई वारिस् न रहा। अगर मरीज़ के मरने तक बेटा ज़िन्दा रहा, यह इक़रार सही है। मरीज़ ने जिसके लिये इक़रार किया, वह वारिस् था फिर वारिस् न रहा, फिर वारिस् होगया और अब वह मरीज़ मरा, तो इक़रार बातिल है। मस्लन ज़ौजा के लिये इक़रार किया, फिर उसे बाइन तलाक़ देदी। बादे इद्दत फिर उससे निकाह कर लिया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.22:– अगर मरीज़ ने अजनबिया के लिए कोई चीज़ हिबा करदी, या वसियत करदी। उसके बाद उससे निकाह किया, वह हिबा, या वसियत बातिल है मरीज़ ने वारिस के लिये इक़रार किया, मगर पहले यह मुक़िर'लहू मरगया उसके बाद वह मरीज़ मरा, मगर मुक़िर'लहू के वुरसा मरीज़ के भी वुरसा से हैं यह इक़रार जाइज़ है जिस तरह अजनबी के लिये इक़रार।(बहर, आलमगीरी)

मसअ्ला.23:– मरीज़ ने अजनबी के लिये इक़रार किया कि यह चीज़ उसकी है और उस अजनबी ने कहा, कि यह चीज़ मुक़िर के वारिस् की है यह ख़ुद मरीज़ का वारिस् के हक़ में इक़रार है। लिहाज़ा सही नहीं। मरीज़ ने अपनी औरत के दैन महर का इक़रार किया, यह इक़रार सही है फिर अगर मरने के बाद वुरसा ने गवाहों से साबत करना चाहा कि इस औरत ने मरीज़ की ज़िन्दगी में महर बख़्श दिया था यह गवाह नहीं सुने जायेंगे। (बहर)

मसअ्ला.24:– मरीज़ ने दैन या ऐन का वारिस् के लिये इक़रार किया, मस्लन यह कहा कि इसके

मेरे ज़िम्मे हज़ार रूपये हैं या यह कहा, कि फ़ुलां चीज उसकी है यह इक़रार बातिल है ख़्वाह तन्हा वारिस् के लिये इक़रार हो या वारिस व अजनबी दोनों के हक़ में इक़रार हो यानी दोनों की शिरकत में वह दैन है या उस ऐन में दोनों शरीक हैं और यह दोनों शरीक होने को मान रहे हों या कहते हों कि हम दोनों में शिरकत नहीं है। बहर हाल वह इक़रार बातिल है हाँ अगर बक़िया वुरसा इस इक़रार की तस्दीक़ करें, तो इक़रार नाफ़िज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.25:– शौहर ने औरत के लिये वसियत की, या औरत ने शौहर के लिये वसियत की और दोनों सूरतों में कोई दूसरा वारिस् नहीं है तो वसियत सही है और ज़ौजैन के सिवा दूसरा कोई वारिस् जब तन्हा हो तो वसियत की क्या ज़रूरत क्योंकि वह तो कुल का ख़ुद ही वारिस् है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.26:– मरीज़ के क़ब्ज़े में जायदाद है इसके मुताल्लिक़ उसने वक़्फ़ का इक़रार किया, इसकी दो सूरतें हैं। एक यह, कि ख़ुद अपने वक़्फ़ का इक़रार करता है कि मैंने इसे वक़्फ़ किया है एक सुलुस् माल में, यह वक़्फ़ नाफ़िज़ होगा। दूसरी यह, कि इसको दूसरे ने वक़्फ़ किया है यानी यह जायदाद दूसरे शख़्स की थी उसने वक़्फ़ करदी थी अगर दूसरे शख़्स या उसके वुरसा तस्दीक़ करें, जाइज़ है और अगर मरीज़ ने बयान न किया, कि मैंने वक़्फ़ किया है या दूसरे ने तो सुलुस् में नाफ़िज़ है। (रद्दुल'मोहतार)

मसअ्ला.27:– मरीज़ ने वारिस् या अजनबी किसी के दैन का इक़रार किया, और मरा नहीं, बल्कि अच्छा होगया फिर उसके बाद मरा, तो वह इक़रार मरीज़ का इक़रार नहीं, बल्कि सेहत के इक़रार का जो हुक्म है उसका भी है क्योंकि जब अच्छा होगया, तो मालूम होगया, कि वह मरजुल'मौत था ही नहीं, ग़लती से लोगों ने ऐसा समझ रखा था यही हुक्म तमाम इक़रारों का है जो मर्ज़ की वजह से जारी नहीं होते थे और अगर वारिस् के लिये वसियत की थी फिर अच्छा होगया तो यह वसियत अब भी सही नहीं होगी। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.28:– मरीज़ ने वारिस् की अमानत हलाक करने का इक़रार किया, यह इक़रार सही व मोअ्तबर है इसकी सूरत यह है कि मस्लन बेटे ने बाप के पास गवाहों के रू ब'रू कोई चीज़ अमानत रखी, उसके मुताल्लिक़ बाप यह इक़रार करता है कि मैंने क़स्दन ज़ाइअ् करदी यह इक़रार मोअ्तबर है। तर्का में तावान अदा किया जायेगा। मरीज़ ने इक़रार किया, कि वारिस् के पास जो कुछ अमानतें थीं वह सब मैंने वसूल पाई यह इक़रार भी मोअ्तबर है। यह इक़रार भी मोअ्तबर है कि मेरा कोई हक़ मेरे बाप या माँ के ज़िम्मे नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.29:– मरीज़ ने यह कहा मेरी फ़ुलां लड़की जो मर चुकी है उसके ज़िम्मे मेरे दस रूपये थे जो मैंने वसूल पा लिये थे और उस मरीज़ का बेटा इन्कार करता है यह इक़रार सही है क्योंकि वारिस् के लिये यह इक़रार ही नहीं, वह लड़की मर चुकी है वारिस् कहाँ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.30:– मरीज़ ने अपनी ज़ौजा के लिये माल का इक़रार किया, वह औरत शौहर से पहले ही मरगई और उसने दो बेटे छोड़े, एक इसी शौहर से है दूसरा पहले ख़ाविन्द से, एहतियात यह है कि यह इक़रार सही नहीं है। यूंही मरीज़ ने अपने बेटे के लिये इक़रार किया, और यह बेटा बाप से पहले मरगया और उसने अपना बेटा छोड़ा उसके मरने के बाद, उसका बाप मरा, और उसका अब कोई बेटा नहीं है यानी वह पोता वारिस् है तो ब'मुक़तज़ाए एहतियात वह इक़रार सही नहीं। यूंही मरीज़ ने वारिस्, या अजनबी के लिये इक़रार किया और मुक़िर'लहू मरीज़ से पहले ही मर गया। उसके वारिस् इस मरीज़ मुक़िर के भी वारिस् हैं इसका भी वही हुक्म है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.31:– एक शख़्स दो चार रोज़ के लिये बीमार होजाता है फिर दो चार रोज़ को अच्छा हो जाता है उसने अपने बेटे के लिये दैन का इक़रार किया। अगर ऐसे मर्ज़ में इक़रार किया, जिसके बाद अच्छा होगया है तो इक़रार सही है। और अगर ऐसे मर्ज़ में इक़रार किया, जिसने उसे साहिबे फ़राश कर दिया और अच्छा न हुआ उसी मर्ज़ में मरगया तो इक़रार सही नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.32:– मरीज़ ने इक़रार किया कि फ़ुलां शख़्स का मेरे ज़िम्मे एक हक़ है और वुरसा ने भी

उसकी तस्दीक़ की, उसके बाद मरीज़ मरगया वह शख़्स अगर मरीज़ के माल की तिहाई तक अपना हक़ बयान करे, उसकी बात मानली जायेगी और तिहाई से ज़्यादा तालिब हो और वुरसा मुन्किर हों तो वुरसा पर हल्फ़ दिया जायेगा वह क़सम खायें कि हमारे इल्म में मय्यित के ज़िम्मे इसका इतना माल न था अगर क़सम खालेंगे सिर्फ़ तिहाई माल उसको दिया जायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.33:– मरीज़ ने वारिस् के लिये एक मुअय्यन चीज़ का इक़रार किया कि यह चीज़ उसकी है। उस वारिस् ने कहा, वह चीज़ मेरी नहीं है बल्कि फ़ुलां शख़्स की है और यह शख़्स वारिस् की तस्दीक़ करता है यानी चीज़ अपनी बताता है और मरीज़ मरगया वह चीज़ अजनबी को देदी जायेगी और वारिस् से चीज़ की क़ीमत या तावान लिया जायेगा। यूंही अगर मरीज़ ने एक वारिस् के लिये उस चीज़ का इक़रार किया उस वारिस् ने दूसरे वारिस् की वह चीज़ बताई वह चीज़ दूसरे वारिस् को मिलेगी और पहला वारिस् उसकी क़ीमत तावान में दे यह क़ीमत सब वुरसा पर तक़सीम होगी उन दोनों को भी उसमें से उनके हिस्से मिलेंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– मरीज़ पर ज़माना–ए–सेहत का दैन है उसकी कोई चीज़ किसी ने ग़सब करली, और ग़ासिब के पास वह चीज़ हलाक होगई। क़ाज़ी ने हुक्म दिया कि ग़ासिब उस चीज़ की क़ीमत मरीज़ को अदा करे अब मरीज़ यह इक़रार करता है कि ग़ासिब से मैंने क़ीमत वसूल पाई। यह बात मानी जायेगी जब तक गवाहों से साबित न हो और अगर ज़माना–ए–सेहत में उसने ग़सब की थी उसके बाद बीमार हुआ और क़ाज़ी ने ग़ासिब पर क़ीमत देने का हुक्म किया और मरीज़ कहता है। मैंने क़ीमत वसूल पा ली तो मरीज़ की बात मानली जायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.35:– मरीज़ ने अपनी एक चीज़ जिसकी वाजिबी क़ीमत एक हज़ार थी दो हज़ार में बेच डाली और उसके पास इस चीज़ के सिवा कोई और माल नहीं है और उस पर कस्रत से दैन हैं। अब यह कहता है कि वह स्मन मैंने वसूल पाया और मरगया। उसका यह इक़रार सही नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला.36:– एक शख़्स ने ज़माना–ए–सेहत में अपनी एक चीज़ बैअ् करदी। और मुश्तरी ने मबीअ् पर क़ब्ज़ा भी कर लिया इसके बाद बाइअ् बीमार हुआ और उसने स्मन पाने का इक़रार कर लिया और बाइअ् के ज़िम्मे लोगों के दैन भी हैं फिर यह बाइअ् मरगया। इसके बाद मुश्तरी ने मबीअ् में ऐब पाया। क़ाज़ी ने उसके वापस करने का हुक्म देदिया मुश्तरी को यह हक़ नहीं है कि दीगर क़र्ज़ ख़्वाहों की तरह मय्यित के माल से, अपना स्मन वापस ले बल्कि वह चीज़ बैअ् की जायेगी। अगर उसके स्मन से मुश्तरी का मुतालबा वसूल होजाये फ़बिहा(तो ठीक)और अगर उसका मुतालबा वसूल कर लेने के बाद कुछ बच रहा तो बचाहुआ दूसरे क़र्ज़ ख़्वाहों के दैन में देदिया जायेगा अगर मुश्तरी के मुतालबा से कम में चीज़ फ़रोख़्त हुई तो मय्यित के माल से दूसरों के दैन अदा करने के बाद अगर कुछ बचता है तो मुश्तरी का बक़िया मुतालबा अदा किया जायेगा वरना गया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.37:– मरीज़ ने वारिस् को रूपये दिये, कि फ़ुलां शख़्स का मुझ पर दैन है। उस रूपये से उसका दैन अदा करदो। वारिस् कहता है वह रूपये मैंन दाइन को देदिगे और दाइन कहता है मुझे नहीं दिये। वारिस् की बात फ़क़त उसके हक़ में मोअ्तबर है। यानी वारिस् बरीउज़्ज़िम्मा होगया मरीज़ उसको सच्चा बताये, या झूटा बहर हाल उससे रूपये का मुतालबा नहीं हो सकता मगर दाइन का हक़ बातिल नहीं हो सकता यानी उसका दैन अदा करना होगा। और अगर मरीज़ ने वारिस् को वकील किया है कि फ़ुलां के ज़िम्मे मेरा दैन है वसूल कर लाओ वारिस् कहता है मैंने दैन वसूल करके मरीज़ को देदिया उसकी बात मोअ्तबर है। मदयून बरी होगया। उससे मुतालबा नहीं हो सकता। (मब्सूत)

मसअ्ला.38:– मरीज़ ने अपनी कोई चीज़ बैअ् करने के लिये वारिस् को वकील किया इसकी दो सूरतें हैं मरीज़ के ज़िम्मे दैन है या नहीं, अगर उसके ज़िम्मे दैन नहीं है और वारिस् ने गवाहों के सामने इस चीज़ को वाजिबी क़ीमत पर बेचा, अब मरीज़ की जिन्दंगी में या उसके मरने के बाद यह कहता है कि स्मन वसूल करके मैंने मरीज़ को देदिया या मेरे पास से ज़ाइअ् होगया उसकी बात

मान ली जायेगी और अगर वारिस् यह कहता है कि मैंने चीज़ बैअ् करदी और स्मन वसूल कर लिया फिर मेरे पास से जाइअ् होगया अगर वह चीज भी हलाक हो चुकी है और मुश्तरी भी मालूम नहीं है कि कौन शख़्स था जब भी उसकी बात मोअ्तबर है अगर चीज मौजूद है और मालूम है कि फ़ुलां शख़्स मुश्तरी है और मरीज़ भी ज़िन्दा है जब भी वारिस् की बात मोअ्तबर है और मरीज मर चुका है तो वारिस् का इक़रार कि मैंने स्मन वसूल पाया और मेरे पास से जाइअ् होगया सही नहीं(मब्सूत)

मसअ्ला.39:– एक शख़्स ने अपने बाप के पास हजार रूपये गवाहों के सामने अमानत रखे उसके बाप ने मरते वक़्त यह इक़रार किया कि वह अमानत के रूपये मैंने ख़र्च कर डाले और उसी इक़रार पर क़ायम रहा, तो बाप के ज़िम्मे यह रूपये दैन हैं कि उसके माल से बेटा वसूल करेगा और अगर बाप ने सिरे से अमानत रखने ही से इन्कार कर दिया या कहता है कि मैंने ख़र्च कर डाले फिर कहने लगा ज़ाइअ् होगये या बेटे को देदिये। इसकी बात क़ाबिले एअ्तिबार नहीं अगरचे क़सम खाता हो और उस पर तवान लाज़िम है और अगर उसने पहले यह कहा कि ज़ाइअ् होगये या मैंने वापस देदिये मगर जब उस पर हल्फ़ दिया गया तो कहने लगा मैंने ख़र्च कर डाले या क़सम से इन्कार करदिया तो इस सूरत में ज़मान लाज़िम नहीं और तर्का से यह रूपये नहीं दिये जायेंगे(आलमगीरी)

मसअ्ला.40:– एक शख़्स बीमार है उसका एक भाई है और एक बीवी, ज़ौजा ने कहा मुझे तीन तलाक़ें देदो उसने देदीं। फिर इस मरीज़ ने यह इक़रार किया कि मेरे ज़िम्मे बीवी के सौ रूपये बाक़ी हैं और औरत अपना पूरा महर ले चुकी है वह शख़्स साठ रूपये तर्का छोड़कर मरगया। अगर औरत की इद्दत पूरी होचुकी है तो कुल रूपये औरत लेलेगी और इद्दत गुज़रने से पहले मरगया, तो अव्वलन तर्का से वसियत को नाफ़िज़ करेंगे फिर मीरास् जारी करेंगे मस्लन उसने तिहाई माल की वसियत की है तो बीस रूपये मूसा'लहू को देंगे और दस रूपये औरत को, और तीस रूपये उसके भाई को। (आलमगीरी)

मसअ्ला.41:– मरीज़ ने यह इक़रार किया कि यह हज़ार रूपये जो मेरे पास हैं लुक़्ता (गिरी हुई चीज मिल जाना) हैं। इस इक़रार के बाद मरगया और उन रूपयों के एलावा उसने कोई माल नहीं छोड़ा, अगर वुरसा उसके इक़रार की तस्दीक़ करते हों तो उनको कुछ नहीं मिलेगा वह रूपये सदक़ा कर दिये जायें। और तकज़ीब करते हों तो एक तिहाई सदक़ा करदें और दो तिहाई बतौर मीरास् तक़सीम करलें। (आलमगीरी)

मसअ्ला.42:– मरीज़ के तीन बेटे हैं एक बेटे पर उसके हज़ार रूपये दैन हैं उस मरीज़ ने यह इक़रार किया कि मैंने इस लड़के से हज़ार रूपये दैन वसूल पा लिये हैं यह मद्यून भी उसकी तस्दीक़ करता है और बाक़ी दोनों लड़कों में से एक तस्दीक़ करता है और एक तकज़ीब, तो मद्यून बेटा एक हज़ार की तिहाई उसको दे जो तकज़ीब करता है और ख़ुद उसको और तस्दीक़ करने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.43:– एक शख़्स मजहूलुन'नसब (जिस का बाप मालूम नहीं) के लिये, मरीज़ ने किसी चीज़ का इक़रार किया उसके बाद उस शख़्स की निस्बत यह इक़रार करता है कि यह मेरा बेटा है। और वह उसकी तस्दीक़ करता है। नसब साबित हो जायेगा और वह इक़रार जो पहले कर चुका है बातिल होजायेगा और जब वह बेटा होगया तो ख़ुद वारिस् है जैसे दूसरे वारिस् हैं और अगर वह शख़्स मारूफ़ुन'नसब है या वह उसकी तस्दीक़ नहीं करता तो नसब साबित नहीं होगा और पहला इक़रार ब'दस्तूर साबिक़। (दुरर गुरर, शरंबुलाली)

मसअ्ला.44:– औरत को तलाक़े बाइन दे चुका है उसके लिये दैन का इक़रार किया, तो दैन व मीरास् में जो कम हो वह औरत को दिया जाये यह हुक्म उस वक़्त है कि औरत इद्दत में हो और ख़ुद उसकी ख़्वाहिश पर औरत ने तलाक़ दी हो और अगर इद्दत पूरी होचुकी, तो वह इक़रार जाइज़ है कि यह वारिस् ही नहीं है और अगर तलाक़ देना औरत के सुवाल पर न हो तो औरत मीरास् की मुस्तहिक़ है और इक़रार सही नहीं कि इस सूरत में वारिस् है। (दुर्रेमुख़्तार)

इक़रारे नसब

मसअ्ला.1:– अगर किसी ने एक शख़्स के भाई होने का इक़रार किया, यानी यह कहा कि यह मेरा भाई है अगरचे यह ग़ैर साबितुन'नसब हो, अगरचे यह भी तस्दीक़ करता हो मगर नसब साबित नहीं यानी उसके बाप का बेटा क़रार नहीं पायेगा इसका सिर्फ़ इतना असर होगा कि मुक़िर का अगर दूसरा वारिस् न हो तो यह वारिस् है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– मर्द इतने लोगों का इक़रार कर सकता है (1)औलाद, (2)वालिदैन, (3)ज़ौजा यानी कह सकता है कि यह औरत मेरी बीवी है ब'शर्ते कि वह औरत शौहर वाली न हो, न वह अपने शौहर की इद्दत में हो, और न उसकी बहन मुक़िर की ज़ौजा हो, या उसकी इद्दत में हो और उसके सिवा उसके निकाह में चार औरतें न हों। (4)मौला यानी मौला–ए–इताक़ा यानी उसने इसे आज़ाद किया है या इसने उसे आज़ाद किया है। ब'शर्ते कि उसकी वला का इक़रार ग़ैर मुक़िर से न होचुका हो। औरत भी वालिदैन और ज़ौज और मौला का इक़रार कर सकती है और औलाद का इक़रार करने में शर्त यह है कि अगर शौहर वाली हो या मोअ्तद्दा (इद्दत गुज़ार रही हो) तो एक औरत विलादत व ताईने वलद की शहादत दे, या ज़ौज (शौहर) खुद उसकी तस्दीक़ करे और अगर न शौहर वाली है, न मोअ्तद्दा, तो औलाद का इक़रार कर सकती है। या शौहर वाली हो, मगर कहती है उससे बच्चा नहीं है दूसरे से है। बेटे का इक़रार सही होने में यह शर्त है कि लड़का इतनी उम्र का हो कि इतनी उम्र वाला मुक़िर का लड़का होसकता हो और वह लड़का साबितुन' नसब न हो। और बाप के इक़रार में भी यह शर्त है कि ब'लिहाज़े उम्र मुक़िर उसका लड़का हो सकता हो और यह मुक़िर साबितुन'नसब न हो। इन तमाम इक़रारों में दूसरे की तस्दीक़ शर्त है। मस्लन यह कहता है फुलां मेरा बाप है और उसने इन्कार कर दिया तो इक़रार से नसब साबित न हुआ। औलाद का इक़रार किया और वह छोटा बच्चा है कि अपने को बता नहीं सकता कि मैं कौन हूँ इसमें तस्दीक की कुछ जरूरत नहीं। और अगर गुलाम दूसरे का गुलाम है तो उसके मौला की तस्दीक़ जरूरी है। (बहर, दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– इन मज़कूरीन (जो ज़िक्र हुए) के मुताल्लिक इक़रार सही होने का मतलब यह है कि इस इक़रार की वजह से मुक़िर या मुक़िर'लहू या किसी और पर जो कुछ हुक़ूक़ लाज़िम होंगे उनका एअ्तिबार होगा मस्लन यह इक़रार किया कि फुलां मेरा बेटा है तो यह मुक़िर'लहू उस शख़्स का वारिस् होगा जैसे दूसरे वुरसा वारिस् हैं अगरचे दूसरे वुरसा उसके नसब से इन्कार करते हों और यह मुक़िर'लहू उस मुक़िर के बाप का (जो मुक़िर'लहू का दादा हुआ) वारिस् होगा अगरचे मुक़िर का बाप उसके नसब से इन्कार करता हो। और इक़रार सही न होने का मतलब यह है कि इक़रार की वजह से ग़ैर मुक़िर व मुक़िर'लहू पर जो हुक़ूक़ लाज़िम होंगे उनका एअ्तिबार न होगा और खुद उन पर जो हुक़ूक़ लाज़िम होंगे उनका एअ्तिबार होगा। मस्लन यह इक़रार किया कि फुलां शख़्स मेरा भाई है और मुक़िर के दूसरे वुरसा उसके भाई होने से इन्कार करते हैं और मुक़िर मरगया। मुक़िर'लहू उन वुरसा के साथ वारिस् न होगा। यूंही मुक़िर के बाप का भी वह वारिस् न होगा जब कि उसका बाप उसके नसब से मुन्किर हो मगर जब तक मुक़िर ज़िन्दा है उसका नफ़्क़ा इस पर वाजिब होसकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– एक गुलाम का ज़माना–ए–सेहत में मालिक हुआ और ज़माना–ए–मर्ज़ में यह इक़रार किया कि यह मेरा बेटा है और उसकी उम्र भी इतनी है कि उसका बेटा होसकता है और उसका नसब भी मारूफ़ नहीं है वह गुलाम उस मुक़िर का बेटा होजायेगा, और आज़ाद होजायेगा, और मुक़िर का वारिस् होगा, और उसे सआयत (मालिक को अपनी क़ीमत अदा करने के लिये गुलाम का मेहनत मज़दूरी करना (अमीनुल क़ादरी)) भी नहीं करनी होगी। अगरचे मुक़िर के पास उसके सिवा कोई माल न हो, अगरचे उस पर इतना दैन हो कि उसके रक़बा को मुहीत हो (दैन गुलाम की क़ीमत से ज़्यादा हो)। और अगर उस गुलाम की माँ भी ज़माना–ए–सेहत में उसकी मिल्क है तो उसपर भी सआयत नहीं है। और अगर मर्ज़ में गुलाम का मालिक हुआ और नसब का इक़रार किया

जब भी आज़ाद होजायेगा और नसब साबित होजायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– मुक़िर के मरने के बाद भी मुक़िर'लहू की तस्दीक़ सही व मोअ्तबर है। मसलन इक़रार किया था कि यह मेरा लड़का है और मुक़िर के मरने के बाद मुक़िर'लहू ने तस्दीक़ की यह तस्दीक़ सही है मगर औरत ने ज़ौजियत का इक़रार किया था उसके मरने के बाद शौहर तस्दीक़ करे यह तस्दीक़ बेकार है कि औरत के मरने के बाद निकाह का सारा सिल्सिला ही मुनक़तेअ् (ख़त्म) होगया। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– नसब का इस तरह इक़रार जिसका बोझ दूसरे पर पड़े। उस दूसरे के हक़ में सही नहीं मसलन कहा, फुलां मेरा भाई है, चचा है, दादा है, पोता है कि भाई कहने के माना यह हुए वह उसके बाप का बेटा हुआ इस इक़रार का असर बाप पर पड़ा इसी तरह सब में यह इक़रार दूसरे के हक़ में ना'मोअ्तबर मगर खुद मुक़िर के हक़ में यह इक़रार सही है और जो कुछ अहकाम हैं वह इसके जिम्मे लाज़िम हैं जबकि दोनों इस बात पर मुत्तफ़िक़ हों यानी जिस तरह यह उसको भाई कहता है, वह भी कहता है, अगर यह चचा बताता है तो वह भतीजा बताता है। नफ़्क़ा (जिन्दगी गुज़ारने के ज़रूरी ख़र्चे (अमीनुलक़ादरी)) व हिदानत (परवरिश) व मीरास सब अहकाम जारी होंगे यानी अगर मुक़िर का कोई दूसरा वारिस नहीं, न क़रीब का, न दूर का यानी ज़विल अरहाम (यानी क़रीबी रिश्तेदार) और मौलल मवालात भी नहीं तो मुक़िर'लहू वारिस होगा वरना वारिस नहीं होगा कि खुद इसका नसब साबित नहीं है फिर वारिस साबित के साथ मुज़ाहमत नहीं कर सकता। वारिस साबित से मुराद ग़ैर ज़ौजैन हैं क्योंकि उनका वुजूद खुद मुक़िर'लहू को मीरास मिलने से नहीं रोकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– इस सूरत में कि तहमीले नसब ग़ैर पर हो (इक़रारे नसब का बोझ दूसरे पर पड़ता हो) मुक़िर अपने इक़रार से रुजूअ् कर सकता है अगरचे मुक़िर'लहू ने भी इसकी तस्दीक़ करली हो मसलन भाई होने का इक़रार किया और उसने तस्दीक़ करली। इसके बाद इक़रार से रुजूअ् करके सारे माल की वसियत किसी और शख़्स के लिये करदी अब मुक़िर'लहू नहीं पायेगा बल्कि कुल माल मूसा'लहू को मिलेगा। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.8:– जिस शख़्स का बाप मरगया उसने किसी की निस्बत यह इक़रार किया कि यह मेरा भाई है तो अगरचे मुक़िर'लहू का नसब साबित नहीं होगा मगर मुक़िर के हिस्से में वह बराबर का शरीक होगा। और अगर किसी औरत को उसने बहन कहा तो वह उसके हिस्से में एक तिहाई की हक़दार होजायेगी। (बहर)

मसअ्ला.9:– एक शख़्स मरगया उसने एक फूपी छोडी उस फूपी ने यह इक़रार किया कि मेरा जो भतीजा मरगया है फुलां शख़्स उसका भाई या चचा है तो इस फूपी को कुछ तर्का नहीं मिलेगा बल्कि कुल माल इसी मुक़िर'लहू को मिलेगा क्योंकि जो औरत सूरते मज़कूरा में वारिस थी उसने अपने से मुक़द्दम दूसरे को वारिस क़रार दिया। (रद्दुल'मुहतार)

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

मसअ्ला.1:– इक़रार अगरचे हुज्जते क़ासिरा है कि इसका असर सिर्फ़ मुक़िर पर पड़ता है। दूसरे पर नहीं होता। मगर बाज़ सूरतें ऐसी हैं कि इक़रार से दूसरे को भी नुक़सान पहुँच जाता है। (1)हुर्रा–ए–मुकल्लिफ़ा (वह आज़ाद मुसलमान औरत जिस पर शरई अहकाम नाफ़िज़ हों) ने दूसरे के दैन का इक़रार किया मगर उसका शौहर तकज़ीब करता है कहता है कि झूट कहती है औरत का इक़रार शौहर के हक़ में भी सही है यानी इस इक़रार का असर अगर शौहर पर पड़े, और उसको ज़रर हो जब भी सही माना जायेगा मसलन अगर अदा न करने की वजह से औरत को क़ैद करने की ज़रूरत होगी, क़ैद की जायेगी अगरचे इसमें शौहर का ज़रर है। यूंही अगर (2)मुअज्जिर ने दैन का इक़रार किया जिसकी अदायगी की कोई सूरत मालूम नहीं होती सिवा इसके जो चीज़ किराये पर दी है बैअ् करदी जाये इसका बेचना जाइज है अगरचे मुस्ताज़िर को ज़रर है। (3)मजहूलतुन'नसब औरत ने इक़रार किया कि मैं अपने शौहर के बाप की बेटी हूँ और शौहर के बाप ने भी इसकी

तस्दीक़ करदी निकाह फ़स्ख़ होगया। (4)औरत ने बांदी होने का इक़रार किया इस इक़रार के बाद शौहर ने उसे दो तलाक़ें दीं बाइन होगई। शौहर को रजअ़त करने का हक़ नहीं है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– औरत मजहूलतुन'नसब ने अपने कनीज़ होने का इक़रार किया कि मैं फुलां शख़्स की लौन्डी हूँ और उस शख़्स मुक़िर'लहू ने भी इसकी तस्दीक़ की वह औरत शौहर वाली है और उस शौहर से औलादें भी हैं शौहर ने औरत की तकज़ीब की इस सूरत में ख़ास औरत के हक़ में इक़रार सहीह है लिहाज़ा इस इक़रार के बाद औरत के जो बच्चे होंगे वह रक़ीक़ (गुलाम) होंगे और शौहर के हक़ मे इक़रार सहीह नहीं लिहाजा निकाह बातिल नहीं होगा और औलाद के हक़ में भी इक़रार सहीह नहीं लिहाज़ा वह पहले की सब औलादें आज़ाद हैं बल्कि वक़्ते इक़रार में जो पेट में बच्चा मौजूद था वह भी आज़ाद। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– मजहूलुन्नसब ने अपने गुलाम को आज़ाद किया उसके बाद यह इक़रार किया कि मैं फुलां का गुलाम हूँ और उस मुक़िर'लहू ने भी तस्दीक़ की यह इक़रार फ़क़त इसकी ज़ात के हक़ में सही है। गुलाम को जो आज़ाद कर चुका है यह इत्क़ बातिल नहीं होगा और वह आज़ाद कर्दा गुलाम मरजाये और कोई वारिस् हो जो पूरे तर्का को लेसकता है तो वह लेलेगा। और ऐसा वारिस् न हो तो अगर बिल्कुल वारिस् न हो तो कुल तर्का मुक़िर'लहू लेगा और अगर वारिस् है मगर पूरे तर्का को नहीं ले सकता तो इसके लेने के बाद जो कुछ बचा वह मुक़िर'लहू लेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– एक शख़्स ने दूसरे से कहा, तुम्हारे ज़िम्मे मेरे हज़ार रूपये हैं दूसरे ने कहा ठीक है, या सच है, या यक़ीनन हैं यह इस बात का जवाब है। यानी उसने उसके हज़ार रूपये का इक़रार कर लिया। (दुरर, गुरर) इसी तरह अगर कहा बजा है, दुरुस्त है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– अपनी कनीज़ से कहा, ऐ चोट्टी, ऐ ज़ानिया, ऐ पागल, या कहा, इस चोट्टी ने ऐसा किया फिर इस कनीज़ को बेचा ख़रीदार ने इन उ़यूब में से कोई ऐब पाया और उसे पता चलगया कि बाइअ़ ने किसी मौक़े पर ऐसा कहा था तो वह क़ौल ऐब का इक़रार देकर लौंडी को वापस नहीं कर सकता कि वह अल्फ़ाज़े निदा हैं, या गाली। उनसे मक़सूद यह नहीं कि वह ऐसी ही है और अगर मालिक ने यह कहा है कि यह चोट्टी है, या ज़ानिया है, या पागल है तो मुश्तरी वापस कर सकता है कि यह इक़रार है। (दुरर, ग़ुरर) अकस्र गाँव वाले या तांगे वाले जानवरों को ऐसे उ़यूब के साथ पुकारते हैं जिनकी वजह से उनको वापस किया जासकता है वहाँ भी वही सूरत है कि अगर उन अलफ़ाज़ से गाली देना मक़सूद होता है, या पुकारना मक़सूद होता है तो ऐब का इक़रार नहीं। और अगर ख़बर देना मक़सूद होता है तो इक़रार है और मुश्तरी वापस कर सकता है।

मसअ्ला.6:– मुक़िर ने इक़रार किया और मुक़िर'लहू ने कहदिया कि यह झूटा है तो वह इक़रार बातिल होगया क्योंकि मुक़िर'लहु के रद कर देने से इक़रार रद होजाता है मगर चन्द ऐसे इक़रार हैं कि रद करने से रद नहीं होते। (1)गुलाम की हुर्रियत का इक़रार यानी इसके पास गुलाम है जिसकी निस्बत यह इक़रार किया कि यह आज़ाद है गुलाम कहता है मैं आज़ाद नहीं हूँ। अब भी वह आज़ाद है। (2)नसब यानी किसी शख़्स की निस्बत कहा, कि यह मेरा बेटा है उसने कहा, उसका बेटा नहीं हूँ। वह इक़रार रद नहीं हुआ यानी इसके बाद भी अगर कह देगा कि मैं उसका बेटा हूँ नसब साबित होजायेगा। (3)वक़्फ़ मस्लन एक शख़्स के पास ज़मीन है उसने कहा, यह ज़मीन उन दोनों आदमियों पर वक़्फ़ है उनके बाद उनकी औलाद व नस्ल पर हमेशा के लिये । और उनमें कोई न रहे तो मसाकीन पर उन दोनों में से एक ने तस्दीक़ की और एक ने तकज़ीब की इस सूरत में निस्फ़ आमदनी तस्दीक़ करने वाले को मिलेगी और निस्फ़ मसाकीन को इसके बाद इस मुन्किर ने इन्कार से रुजूअ़ करके तस्दीक़ की तो इसके हिस्से की आधी आमदनी उसे मिलने लगेगी। (4)तलाक़ (5)इताक़ (6)मीरास् यानी एक शख़्स के लिये विरासत का इक़रार किया था उसने तकज़ीब करदी इसके बाद अगर तस्दीक़ करेगा विरासत का मुस्तहिक़ होजायेगा।

(7)रुक़्कियत एक शख़्स ने इक़रार किया कि मैं तेरा गुलाम हूँ। उसने कहा ग़लत है फिर तस्दीक करके उसे गुलाम बना सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– जो कुछ तर्का वसी के हाथ में था वह सब मय्यित की औलाद को वसी ने देदिया। और उसने यह कह दिया कि मैंने कुल तर्का वसूल पाया मेरे वालिद के तर्के में कोई चीज़ ऐसी नहीं रहगयी है जिसको मैंने पा न लिया हो इसके बाद फिर वसी पर किसी चीज़ के मुताल्लिक दावा किया कि यह मेरे बाप का तर्का है और उसको गवाहों से साबित किया यह दावा सुना जायेगा। यूंही अगर वारिस् ने यह कह दिया कि मेरे वालिद का जिन जिन लोगों पर मुतालबा था। सब मैंने वसूल पाया इसके बाद एक शख़्स पर दावा किया कि मेरे वालिद का इस पर इतना दैन है यह दावा सुना जायेगा। यूंही वसी से किसी वारिस् ने सुलह करली यानी तर्का में इतनी चीज़ें हैं। इनमें से इतनी चीज़ें मुझे दी जायें और इसके बाद मेरा कोई हक़ तर्का में बाक़ी नहीं रहेगा इस सुलह के बाद वसी के हाथ में एक ऐसी चीज़ देखी जो सुलह के वक़्त ज़ाहिर नहीं की गई थी। इसमें बक़द्र अपने हिस्से के दावा कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.8:– दुख़ूल के बाद यह इक़रार किया कि मैंने इस औरत को दुख़ूल से क़ब्ल तलाक़ देदी थी पूरा महर दुख़ूल की वजह से इसके ज़िम्मे है और निस्फ़ महर उसके इक़रार की वजह से(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– वक़्फ़ की आमदनी जिसके लिये थी वह कहता है 'इस आमदनी का मुस्तहिक़ फ़ुलां शख़्स है, मैं नहीं हूँ यह इक़रार सही है। यानी इसको आमदनी अब नहीं मिलेगी अगरचे वक़्फ़ में इसी के लिये है मगर यह बात इसी हद तक महदूद है इसके मरने के बाद हस्बे शराइते वक़्फ़ नामा उसकी औलाद पर तक़सीम होगी। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.10:– यह इक़रार किया कि हमने फ़ुलां के हजार रूपये वक़्फ़ किये फिर यह कहता है हम दस शख़्स थे और मालिक यह कहता है कि तन्हा यही था इसी को पूरे हज़ार रूपये देने होंगे क्योंकि यह लफ़्ज़ (हम) एक के लिये भी बोला जाता है। हाँ अगर यह कहता है हम सबने इसके हज़ार रूपये ग़सब किये और फिर कहता है हम दस शख़्स थे तो बेशक इससे एक ही सौ लिया जाता कि उसने पहले ही से बता दिया कि मैं तन्हा न था। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– एक चीज़ का इक़रार करके कहता है मुझसे ग़लती होगई यानी कुछ का कुछ कह गया यह बात क़बूल नहीं की जायेगी मगर मुफ़्ती ने अगर तलाक़ का हुक्म दिया था इस बिना पर उसने तलाक़ का इक़रार किया बाद में मालूम हुआ कि उस मुफ़्ती ने ग़लत फ़तवा दिया था यह कहता है कि इस ग़लत फ़तवे की बिना पर मैंने ग़लत इक़रार किया यह दयानतन मसमूअ् है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– एक शख़्स ने कहा, मेरे वालिद ने सुलुस् माल की ज़ैद के लिये वसियत की अम्र के लिये बल्कि बकर के लिये तो वसियत ज़ैद के लिये है अम्र व बकर के लिये कुछ नहीं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.13:– एक शख़्स ने इक़रार किया कि मैंने फ़ुलां शख़्स के लिये हज़ार रूपये का अपनी ना'बालिग़ी में इक़रार किया था वह कहता है कि हालते बुलूग़ में इक़रार किया था इस सूरत में क़सम के साथ मुक़िर का क़ौल मोअ्तबर है और अगर यह कहता है कि सरसाम (एक बीमारी जिस से दिमाग़ पर वरम आजाता है जिस से मरीज़ बे'अक़ली की बातें करता है (अमीनुल क़ादरी)) की हालत में मैंने इक़रार किया था जब मेरी अक़्ल जाती रही थी अगर मालूम हो कि इसे सरसाम हुआ था जब तो कुछ नहीं वरना हज़ार देने होंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– मर्द कहता है मैंने नाबालिग़ी में तुझसे निकाह किया था औरत कहती है मुझसे जब तुमने निकाह किया था बालिग़ थे इसमें मर्द का क़ौल मोअ्तबर है। और अगर मर्द यह कहता है कि मैंने जब निकाह किया था मजूसी था औरत कहती है मुसलमान थे इसमें औरत का क़ौल मोअ्तबर है (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– दो शख़्सों में शिरकते मुफ़ावज़ा है इनमें से एक ने यह इक़रार किया कि मेरे साथी के ज़िम्मे शिरकत से पहले के फ़ुलां शख़्स के इतने रूपये हैं और साथी इससे इन्कार करता है और

तालिब यह कहता है कि वह दैन ज़माना–ए–शिरकत का है तो दैन दोनों शरीकों पर लाज़िम होगा और अगर यह इक़रार किया कि यह दैन शिरकत से पहले का है और मुझ पर है शरीक पर नहीं और तालिब कहता है ज़माना–ए–शिरकत का दैन है इस सूरत में भी दोनों पर लाज़िम होगा। और अगर तीनों इस अम्र पर मुत्तफ़िक़ हैं कि शिरकत से क़ब्ल का दैन है तो उसी के ज़िम्मे दैन क़रार पायेगा जिसने लिया है दूसरे से कोई ताल्लुक़ न होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– यह कहा कि इस चीज़ में फ़ुलां की शिरकत है या यह चीज़ मेरे और फ़ुलां के माबैन मुश्तरक है या यह चीज़ मेरी और फ़ुलां की है इन सब सूरतों में दोनों निस्फ़ निस्फ़ के शरीक माने जायेंगे। और अगर इक़रार में शरीक का हिस्सा भी बतादें। मस्लन वह तिहाई या चौथाई का शरीक है तो जितना उसका हिस्सा बताया उतने ही की शिरकत का इक़रार है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.17:– यह कहा कि मेरा कोई हक़ फ़ुलां की जानिब नहीं इस कहने से वह शख़्स तमाम ही हुक़ूक़ से बरी होगया। यानी हुक़ूक़े मालिया और ग़ैर मालिया दोनों से बराअ्त होगई। ग़ैर मालिया मस्लन किफ़ालत बिन्नफ़्स, (यानी जिस शख़्स के ज़िम्मे मुतालबा है उसे हाज़िर करने की ज़मानत देना (अमीनुल क़ादरी)) किसास, हद्दे क़ज़फ़। हुक़ूक़े मालिया ख़्वाह दैन हो जो माल के बदले में वाजिब हुए हों मस्लन समन, उजरत या ग़ैर माल के बदले में हों मस्लन महर, जनायत की दियत और हुक़ूक़े मालिया ख़्वाह ऐन मज़मूना हों जैसे ग़सब या अमानत हों मस्लन वदीअ्त, आरियत, इजारा बिल्जुमला इस कहने के बाद अब वह किसी हक़ का मुतालबा नहीं कर सकता और अगर यह लफ़्ज़ कहा कि फ़ुलां के पास मेरा कोई हक़ नहीं तो मज़मून का इक़रार है अमानत से बराअ्त नहीं और अगर यह कहा कि फ़ुलां के पास मेरा कोई हक़ नहीं यह अमानत से बराअ्त है। सिर्फ़ शय मज़मून से बराअ्त नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– एक शख़्स ने दो गवाहों से मुद्दआ़अलैह के ज़िम्मे हज़ार रूपये साबित किये और मुद्दआ़अलैह ने यह गवाह पेश किये कि मुद्दई ने हज़ार रूपये उससे मुआफ़ कर दिये हैं इसकी चन्द सूरतें हैं। अगर वुजूबे माल की तारीख़ हो (अगर माल के लाज़िम होने की तारीख़ हो) और बराअ्त (मुआफ़ी) की भी तारीख़ हो और तारीख़े मुआफ़ी बाद में हो मुआफ़ी का हुक्म दिया जायेगा। और अगर दस्तावेज़ की तारीख़ बाद में है और मुआफ़ी की पहले हो तो वुजूबे माल का हुक्म दिया जायेगा और अगर दोनों की तारीख़ न हो या दानों की तारीख़ एक हो या दस्तावेज़ की तारीख़ हो मुआफ़ी की न हो, या मुआफ़ी की हो, माल की न हो इन सब सूरतों में मुआफ़ी का हुक्म दिया जायेगा(आलमगीरी)

सुलह का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है।

﴿لا خير فی كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ط﴾

"उनकी बहुतेरी सरगोशियों में भलाई नहीं है मगर उसकी सरगोशी जो सदक़ा या अच्छी बात या लोगों के माबैन सुलह का हुक्म करे"

और फ़रमाता है

﴿وان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا ط﴾

"अगर किसी औरत को अपने ख़ाविन्द से बद ख़ुल्क़ी और बे तवज्जुही का अन्देशा हो तो उन दोनों पर यह गुनाह नहीं कि आपस में सुलह करलें और सुलह अच्छी चीज़ है"

और फ़रमाता है।

وان طائفتن من المومنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما ج فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل و اقسطوا ط ان الله يحب المقسطين ۰ انما المومنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ۰

"और अगर मुसलमानों के दो गिरोह लड़ जायें तो उन में सुलह करादो फिर अगर एक गिरोह दूसरे पर बग़ावत करे तो उस बग़ावत करने वाले से लड़ो यहाँ तक कि वह अल्लाह के हुक्म की तरफ़ लौट आये फिर जब वह लौट आया तो दोनों में अ़दल के साथ सुलह करादो और इन्साफ़ करो बेशक इन्साफ़ करने वालों को अल्लाह दोस्त रखता है। मुसलमान भाई–भाई हैं तो अपने दो भाईयों में सुलह कराओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाये"।

हदीस् (1) सही बुखारी शरीफ़ में सुहैल बिन साद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं कि बनी अम्र बिन औफ़ के माबैन कुछ मुनाकशा (झगड़ा) था नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम चन्द असहाब के साथ उनमें सुलह कराने के लिये तशरीफ लेगये थे। नमाज का वक्त आ गया और हुज़ूर तशरीफ़ नहीं लाये हज़रत बिलाल ने अजान कही और अब भी तशरीफ नहीं लाये। हजरत बिलाल ने हज़रत अबू बक्र सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास आकर यह कहा कि हुज़ूर वहाँ रुक गये और नमाज़ तैयार है। क्या आप इमामत करेंगे फ़रमाया अगर तुम कहो तो पढा दूँगा हज़रत बिलाल ने इकामत कही और हज़रत अबू बक्र आगे गये कुछ देर बाद हुज़ूर तशरीफ लाये और सफों से गुजरकर सफे अव्वल में तशरीफ़ लेजाकर कयाम फ़रमाया लोगों ने हाथ पर हाथ मारना शुरू किया कि हजरत अबू बक्र इधर मुतवज्जेह हों मगर वह जब नमाज़ में खड़े होते तो किसी तरफ मुतावज्जेह न होते मगर जब लोगों ने ब'कस्रत हाथ पर हाथ मारना शुरूअ् किया हज़रत अबू बक्र रदियल्लाहु तआला अन्हु ने उधर तवज्जोह की देखा कि हुज़ूर उनके पीछे तशरीफ़ फ़रमा हैं। हुज़ूर के लिये आगे तशरीफ लेजाने का इशारा किया हुज़ूर ने फ़रमाया कि तुम नमाज़ जैसे पढ़ा रहे हो पढ़ाओ हज़रत अबू बक्र ने हाथ उठाकर अल्लाह की हम्द की और उल्टे पाँव चलकर सफ़ में शामिल होगये हुज़ूर आगे बढ़े और नमाज़ पढाई नमाज से फारिग होकर लोगों से फ़रमाया ऐ लोगो नमाज़ में कोई बात पेश आजाये तो तुमने हाथ पर हाथ मारना शुरूअ् कर दिया यह काम औरतों के लिये है। अगर कोई चीज़ नमाज में किसी को पेश आ जाये तो सुब्हानल्लाह, सुब्हानल्लाह कहे। इमाम जब इसको सुनेगा, मुतवज्जेह होजायेगा और अबू बक्र रदियल्लाहु तआला अन्हु से फ़रमाया ऐ अबू बक्र जब मैंने इशारा कर दिया था फिर तुम्हें नमाज़ पढाने से कौनसा अम्र मानेअ् आया अर्ज़ की अबू कहाफ़ा के बेटे (अबू बक्र) को यह सज़ावार नहीं कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के आगे नमाज़ पढ़े (इमाम बने)।

हदीस् (2) सही बुखारी में उम्मे कुलसूम बिन्ते उकबा रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं। "वह शख़्स झूठा नहीं जो लोगों के दरम्यान सुलह कराये कि अच्छी बात पहुँचाता है, या अच्छी बात कहता है"।

हदीस् (3) बुख़ारी शरीफ़ वगैरह में मरवी हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम हज़रत इमाम हसन रदियल्लाहु तआला अन्हु के मुताल्लिक इरशाद फ़रमाते हैं "मेरा यह बेटा सरदार है अल्लाह तआला इसकी वजह से मुसलमानों के दो बड़े गिरोहों के दरम्यान सुलह करा देगा"।

हदीस् (4) सही बुख़ारी में उम्मुल मोमेनीन आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम् ने दरवाज़ा पर झगड़ा करने वालों की आवाज़ सुनी उनमें एक दूसरे से कुछ मुआफ़ कराना चाहता था और उससे आसानी करने की ख़्वाहिश करता था और दूसरा कहता था खुदा की क़सम ऐसा नहीं करूँगा। हुज़ूर बाहर तशरीफ़ लाये और फ़रमाया "कहाँ है वह जो अल्लाह की क़सम खाता है कि नेक काम नहीं करेगा" उसने अर्ज़ की, मैं हाज़िर हूँ या रसूलल्लाह वह जो चाहे मुझे मन्जूर है।

हदीस् (5) सही बुख़ारी में कअ़ब बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि इब्ने अबी हदरद रदियल्लाहु तआला अन्हु पर मेरा दैन था मैंने तक़ाज़ा किया इसमें दोनों की आवाज़ें बुलन्द होगईं कि हुज़ूर ने काशाना-ए-अक़दस में उनकी आवाज़ें सुनीं तशरीफ़ लाये, और हुजरे का पर्दा हटाकर कअ़ब बिन मालिक को पुकारा अर्ज़ की लब्बैक या रसूलल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम् ने हाथ से इशारा किया कि आधा दैन मुआफ़ करदो कअ़ब ने कहा, मैंने मुआफ़ कर दिया दूसरे साहब से फ़रमाया अब तुम उठो और अदा करदो।

हदीस् (6) सही मुस्लिम वग़ैरा में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम् ने फ़रमाया "एक शख़्स ने दूसरे से ज़मीन खरीदी मुश्तरी को उस ज़मीन में एक घड़ा मिला जिसमें सोना था उसने बाइअ् से कहा, यह सोना तुम लेलो क्योंकि

मैंने ज़मीन ख़रीदी है सोना नहीं ख़रीदा बाइअ् ने कहा मैंने ज़मीन और जो कुछ ज़मीन में था सब को बैअ् करदिया उन दोनों ने यह मुक़द्दमा एक शख़्स के पास पेश किया उस हाकिम ने दरयाफ़्त किया तुम दोनों की औलादें हैं एक ने कहा मेरे लड़का है दूसरे ने कहा मेरे एक लड़की है हाकिम ने कहा, उन दोनों का निकाह आपस में करदो और यह सोना उन पर ख़र्च करदो और महर में देदो"।

हदीस् (7) अबू दाऊद ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर अक़्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम् इरशाद फ़रमाते हैं। "मुसलमानों के माबैन हर सुलह जाइज़ है मगर वह सुलह कि हराम को हलाल करदे, या हलाल को हराम करदे"।

मसाइले फ़िक़्हिया :– निज़ाअ् (झगडा) दूर करने के लिये जो अक़्द किया जाये उसको सुलह कहते हैं। वह हक़ जो बाइसे् निज़ाअ् था उसको मुसालेह अन्हु और जिसपर सुलह हुई उसको बदले सुलह और मुसालेह अलैह कहते हैं। सुलह में ईजाब ज़रूरी है और मोअय्यन चीज़ में कबूल भी ज़रूरी है मस्लन मुद्दई ने मुअय्यन चीज़ का दावा किया मुद्दअ्'अ़लैह ने कहा इतने रूपये पर इस मुआमले में मुझसे सुलह करलो मुद्दई ने कहा मैंने की जब तक मुद्दआ अलैह क़बूल न करे सुलह नहीं होगी। और अगर रूपये अशर्फ़ी का दावा है और सुलह किसी दूसरी जिन्स पर हुई तो उस में भी क़बूल ज़रूर है कि यह सुलह बैअ् के हुक्म में है। और बैअ् में क़बूल ज़रूरी है और उसी जिन्स पर हुई मस्लन सौ रूपये का दावा था पचास पर सुलह हुई यह जायज़ है अगरचे मुद्दा'अ़लैह ने यह नहीं कहा कि मैंने क़बूल किया यानी पहले मुद्दआ'अ़लैह ने सुलह को खुद कहा कि इतने में सुलह करलो उसके बाद मुद्दई ने कहा कि मैंने की सुलह होगई अगरचे मुद्दा'अ़लैह ने क़बूल न किया हो कि यह इस्क़ात् है यानी अपने हक़ को छोड़ देना। (आलमगीरी)

सुलह के लिये शराइत् हस्बे ज़ैल हैं

(1)आक़िल होना। बालिग़ और आज़ाद होना शर्त नहीं लिहाज़ा ना'बालिग़ की सुलह भी जायज़ है जब कि उसकी सुलह में खुला हुआ ज़रर (नुक़्सान) न हो गुलाम माज़ून (ऐसा गुलाम जिसे इजाजत देदी गई हो) और मुकातब की सुलह भी जायज़ है जब कि उसमें नफ़ा हो नशे वाले की सुलह भी जायज़ है।

(2)मुसालेह'अ़लैह के क़ब्ज़ा करने की ज़रूरत हो तो उसका मा'लूम होना मस्लन इतने रूपये पर सुलह हुई या मुद्दा'अ़लैह फ़ुलां चीज़ मुद्दई को देदेगा और अगर उसके क़ब्ज़े की ज़रूरत न हो तो मा'लूम होना शर्त नहीं मस्लन एक शख़्स ने दूसरे के मकान में एक हक़ का दावा किया था मेरा उसमें कुछ हिस्सा है दूसरे ने उसकी ज़मीन के मुतअ़ल्लिक़ दावा किया कि मेरा उसमें कुछ हक़ है और सुलह यूँ हुई कि दोनों अपने अपने दावे से दस्त'बर्दार होजायें।

(3)मुसालेह अन्हु का एवज़ लेना जायज़ हो यानी मुसालेह अन्हु मुसालेह का हक़ हो अपने महल (जगह) में साबित हो आम इससे कि मुसालेह अन्हु माल हो या ग़ैर माल मस्लन क़िसास व तअ्ज़ीर जब कि तअ्ज़ीर हक़्क़ुल'अ़ब्द की वजह से हो और अगर हक़्क़ुल्लाह की वजह से हो तो उसका एवज़ लेना जायज़ नहीं मस्लन किसी अजनबिया (ग़ैर महरम औरत) का बोसा लिया और कुछ देकर सुलह करली यह जायज़ नहीं। और अगर मुसालेह अन्हु के एवज़ में कुछ लेना जायज़ न हो तो सुलह जायज़ नहीं मस्लन हक़्क़े शुफ़ा के बदले में शफ़ीअ् का कुछ लेकर सुलह कर लेना या ज़ानी और चोर या शराब ख़्वार को पकड़ा था उसने कहा मुझे हाकिम के पास पेश न करो और कुछ लेकर छोड़ दिया या किसी से ज़िना की तोहमत लगाई थी और कुछ माल लेकर सुलह होगई या यह ना'जायज़ है। किफ़ालत'बिन्नफ़्स (जिस शख़्स पर मुतालबा हो उसको हाज़िर करने की ज़िम्मेदारी ले लेना) में मकफ़ूल'अन्हु ने कफ़ील (ज़िम्मेदार) से माल लेकर सुलह करली। यह सुलहें तो ना'जायज़ ही हैं इस सुलह से शुफ़ा भी बातिल होजायेगा और किफ़ालत भी जाती रही इसी तरह हद्दे क़ज़फ़ भी अगर क़ाज़ी के यहाँ पेश करने से पहले सुलह होगई। ज़िना की हद और शराब पीने की हद में भी सुलह अगरचे ना'जायज़ है मगर सुलह की वजह से हद बातिल नहीं होती। चोर ने मकान से माल

निकाल लिया उसने पकड़ा चोर ने किसी अपने माल के एवज़ में मुसालहत की यह सुलह नाजायज़ है माल देना चोर पर वाजिब नहीं और चोरी का माल चोर ने वापस देदिया है तो मुक़द्दमा भी नहीं चल सकता और अगर चोर को क़ाज़ी के पास पेश करने के बाद मुसालहत की और उसे मुआफ़ कर दिया तो मुआफ़ी सही नहीं और अगर उसको माल हिबा कर दिया तो हद्दे सरक़ा यानी हाथ काटना अब नहीं हो सकता। गवाह से मुसालहत करली कि गवाही न दे यह सुलह बातिल है।

(4)ना'बालिग़ की तरफ़ से किसी ने सुलह की तो इस सुलह में ना'बालिग़ का खुला हुआ नुक़सान न हो मस्लन ना'बालिग़ पर दावा था उसके बाप ने सुलह की अगर मुद्दई के पास गवाह थे और उतने ही पर मुसालहत हुई जितना हक़ था या कुछ ज़्यादा पर तो सुलह जायज़ है और ग़बने फ़ाहिश पर सुलह हुई या मुद्दई के पास गवाह न थे तो सुलह ना'जायज़ है और अगर बाप ने अपना माल देकर सुलह की है तो बहर हाल जायज़ है कि उसमें ना'बालिग़ का कुछ नुक़सान नहीं।

(5)बालिग़ की तरफ़ से सुलह करने वाला वह शख़्स हो जो उसके माल में तसर्रुफ़ कर सकता हो (अल दख़्ल यानी अख़राजात वग़ैरा में इस्तेमाल कर सकता हो (अमीनुल क़ादरी)) मस्लन बाप, दादा वसी **(6)**बदले सुलह माले मुतक़व्विम हो अगर मुसलमान ने शराब के बदले में सुलह की यह सुलह सही नहीं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.1:– बदले सुलह कभी माल होता है और कभी मनफ़अत मस्लन मुद्दआ'अलैह ने इसपर सुलह की कि मेरा गुलाम मुद्दई की साल भर ख़िदमत करेगा या वह मेरी ज़मीन में एक साल काश्त करेगा या मेरे मकान में इतने दिनों रहेगा। (दुरर, गुरर)

मसअ्ला.2:– सुलह का हुक्म यह है कि मुद्दआ अलैह दावा से बरी होजायेगा मुसालेह'अलैह मुद्दई की मिल्क हो जायेगा चाहे मुद्दआ'अलैह हक़्क़े मुद्दई से मुन्किर हो या इक़रारी हो और मुसालेह अन्हु मिल्के मुद्दआ अलैह होजायेगा अगर मुद्दआ अलैह इक़रारी था ब'शर्ते कि वह क़ाबिले तम्लीक भी हो यानी माल हो और अगर वह क़ाबिले मिल्क ही न हो मस्लन क़िसास या मुद्दआ अलैह इस अम्र से इन्कारी था कि यह हक़्क़े मुद्दई है तो इन दोनों सूरतों में फ़क़त दावे से बराअत होगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– सुलह की तीन सूरतें हैं कभी यूँ होती है कि मुद्दआ अलैह हक़्क़े मुद्दई का मुक़िर होता है और कभी यूँ कि मुन्किर था और कभी यूँ कि उसने सुकूत किया था इक़रार, इन्कार मुछ नहीं किया था। पहली क़िस्म यानी इक़रार के बाद सुलह उसकी चन्द सूरतें हैं अगर माल का दावा था और माल पर सुलह हुई तो यह सुलह बैअ् के हुक्म में है। इस सुलह पर बैअ् के तमाम अहकाम जारी होंगे। मस्लन मकान वग़ैरा जायदादे ग़ैर मनकूला (ऐसी जायदाद जिसे एक जगह से दूसरी जगह न लेजा सकें) पर सुलह हुई। यानी मुद्दा'अलैह ने यह चीज़ें देदीं तो इसमें शफ़ीअ् को शुफ़अ् करने का हक़ हासिल होगा और अगर बदले सुलह में कोई ऐब हो, तो वापस करने का हक़ है। ख़्यारे रूयत भी है। ख़्यार शर्त भी होसकता है और मुसालेह'अलैह यानी बदले सुलह मजहूल है तो सुलह फ़ासिद है। मुसालेह अन्हु का मजहूल होना सुलह को फ़ासिद नहीं करता क्योंकि उसको साक़ित करता है उसकी जिहालत सबबे निज़ाअ् नहीं हो सकती। बदले सुलह की तस्लीम पर क़ुदरत भी शर्त है। मुसालेह अन्हु यानी जिसका दावा था अगर उसमें किसी ने अपना हक़ साबित कर दिया तो मुद्दई को बदले सुलह उसके एवज़ में फेरना होगा। कुल का इस्तेहक़ाक़ हुआ, कुल फेरना होगा और बाज़ का हुआ, बाज़ फेरना होगा। और बदले सुलह में इस्तेहक़ाक़ होजाये, तो उसके मुक़ाबिल में मुद्दई मुसालेह अन्हु से लेगा यानी कुल में इस्तेहक़ाक़ हुआ तो कुल लेगा और बाज़ में हुआ तो बाज़ यानी ब'क़द्रे हिस्सा।(मतून)

मसअ्ला.4:– जो सुलह बैअ् के हुक्म में है उसमें दो बातों में बैअ् का हुक्म नहीं है। (1)दैन का दावा किया, और मुद्दा अलैह इक़रारी था एक गुलाम देकर मुसालहत हुई और मुद्दई ने उसपर क़ब्ज़ा कर लिया इस गुलाम का मुराबहा व तौलिया अगर करना चाहेगा तो बयान करना होगा कि मुसालहत में यह गुलाम हाथ आया है। बिग़ैर बयान जाइज़ नहीं। **(2)**सुलह के बाद दोनों बिल' इत्तिफ़ाक़ यह कहते हैं कि दैन था ही नहीं सुलह बातिल होजायेगी। जिस तरह हक़ वसूल पाने के

बाद बिल'इत्तिफाक यह कहते हैं कि दैन था ही नहीं जो कुछ लिया है देना होगा और अगर दैन के बदले में कोई चीज खरीदी फिर दोनों यह कहते हैं कि दैन नहीं था तो ख़रीदारी बातिल नहीं और अगर हजार का दावा था और दूसरी चीज़ मस्लन गुलाम लेकर सुलह की फिर दोनों कहते हैं कि दैन नहीं था तो मुद्दई को इख़्तियार है कि गुलाम वापस करे या हजार रूपये दे(आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– बैअ् के हुक्म में उस वक्त है जब ख़िलाफ़े जिन्स पर मुसालहत हुई। मस्लन दावा था। रूपये का, और सुलह हुई अशर्फ़ी या किसी और चीज़ पर, और अगर उसी जिन्स पर मुसालहत हो जिसका दावा था यानी रूपये का दावा था और रूपये पर ही मुसालहत हुई और कम पर हुई, यानी सौ का दावा था पचास पर सुलह हुई तो यह अबरा है यानी मुआफ़ कर देना और अगर उतने ही पर सुलह हुई, जितने का दावा था तो इस्तीफ़ा है यानी अपना हक़ वसूल पा लिया और अगर ज़्यादा पर सुलह हुई, तो रिबा यानी सूद है। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.6:– माल का दावा था। और रूपये पर सुलह हुई। और उसकी मीआद यह क़रार पाई, कि खेत कटेगा, तो रूपया दिया जायेगा यानी मुद्दत मजहूल है यह सुलह जाइज़ नहीं कि बैअ् में मुद्दत मजहूल होना ना'जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– माल का दावा था और मनफ़अ्त (मुनाफ़े) पर मुसालहत हुई यह सुलह इजारे के हुक्म में है और इसमें इजारा के अहकाम जारी होंगे। अगर मनफ़अ्त की ताईन वक़्त से होती हो तो वक़्त बयान करना ज़रूरी होगा मस्लन इस पर सुलह हुई, कि मुद्दा'अलैह का गुलाम मुद्दई की ख़िदमत करेगा या मुद्दई मुद्दा'अलैह के मकान में सुकूनत करेगा ऐसी चीज़ों में वक़्त बयान करना ज़रूर होगा क्योंकि इसके बिग़ैर इजारा सही नहीं और अगर कोई अमल माक़ूद'अलैह है तो वक़्त बयान करने की ज़रूरत नहीं मस्लन इस पर सुलह हुई, कि मुद्दा'अलैह मुद्दई का यह कपड़ा रंग देगा और चूंकि यह इजारा के हुक्म में है लिहाज़ा मुद्दत के अन्दर अगर दोनों में कोई मरगया सुलह बातिल होजायेगी। यूंही अन्दुरूने मुद्दत महल (महल यानी वह चीज़ जो बदले सुलह है) हलाक होजाये जब भी सुलह बातिल है मस्लन वह गुलाम मरगया जिसकी ख़िदमत बदले सुलह थी।(दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला.8:– दावा मन्फ़अ्त (अस्ल चीज़ न हो) का था और सुलह माल पर हुई मस्लन यह दावा था कि मेरे मकान का पानी इसके मकान से होकर जाता है, या मेरी छत का पानी इसकी छत पर से बहता है या इस नहर से मेरे खेत की आबपाशी होती है और माल लेकर सुलह करली, या एक क़िस्म की मन्फ़अ्त का दावा था। दूसरी क़िस्म की मन्फ़अ्त पर मुसालहत हुई मस्लन दावा था कि यह मकान मेरे किराये में है इतने दिनों के लिये और सुलह इस पर हुई कि इतने दिन मुद्दा'अलैह का गुलाम मुद्दई की ख़िदमत करेगा यह दोनों सूरतें भी इजारा के हुक्म में है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– इन्कार व सुकूत के बाद जो सुलह होती है वह मुद्दई के हक़ में मुआवज़ा है यानी जिस चीज़ का दावा था उस चीज़ का एवज़ पा लिया, और मुद्दा'अलैह के हक़ में यह बदले सुलह यमीन और एक क़िस्म का फ़िदया है यानी इसके ज़िम्मे जो यमीन थी उसके फ़िदया में यह माल देदिया और क़तअ़े निज़ाअ् है यानी झगड़े और मुक़द्दमा'बाज़ी की मुसीबतों में कौन पड़े, यह माल देकर झगड़ा काटना है लिहाज़ा इन दोनों सूरतों में अगर मकान का दावा था और मुद्दा'अ़लैह मुन्किर या साकित (ख़ामोश) था और कोई चीज़ देकर मुसालहत की इस मुद्दा अ़लैह पर शुफ़ा नहीं होसकता कि यह सुलह बैअ् के हुक्म में नहीं है मुद्दा अ़लैह का ख़्याल यह है कि यह मेरा ही मकान था मैंने इसको सुलह के ज़रिआ से अपने पास से जाने न दिया और मुद्दई की ख़ुसूमत को माल के ज़रिआ से दफ़ा कर दिया फिर जब इसने मकान ख़रीदा नहीं है तो शुफ़ा कैसा, और मुद्दई का यह ख़्याल कि मकान मेरा था माल लेकर देदिया, इस ख़्याल की पाबन्दी मुद्दा'अ़लैह के ज़िम्मे नहीं है ताकि शुफ़ा किया जासके। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला.10:– मकान पर सुलह हुई यानी मुद्दई ने किसी चीज़ का दावा किया, और मुद्दा'अ़लैह

ने इन्कार या सुकूत के बाद अपना मकान देकर पीछा छुड़ाया, या उससे सुलह करली, इस मकान पर शुफ़ा हो सकता है क्योंकि इस सूरत में मकान मुद्दई को मिलता है और इसका गुमान यह है कि मैं इसको अपने हक के एवज में लेता हूँ लिहाजा इसके लिहाज से यह सुलह बैअ़ के मअ़ना में है तो इस पर शुफ़ा भी होगा। (बहर)

मसअ्ला.11:– इन्कार या सुकूत के बाद जो सुलह होती है अगर वाकेअ़ में मुद्दा अलैह का गलत दावा था जिसका मुद्दई को भी इल्म था तो सुलह में जो मिली है उसका लेना जाइज नहीं और अगर मुद्दा अलैह झूठा है तो उस सुलह से वह हक्के मुद्दई से बरी नहीं होगा यानी सुलह के बाद कज़ाअन तो कुछ नहीं हो सकता, दुनिया का मुआखजा खत्म होगया, मगर आखिरत का मुआखजा बाकी है मुद्दई के हक अदा करने में जो कमी रहगई है उसका मुआखजा है मगर जबकि मुद्दई खुद मा'बकी (जो बाकी रहगया) से मुआफी देदे। (बहर) लिहाजा सुलह होने के बाद अगर हुकूक से अबराअ़ व मुआफी होजाये तो मुआखजा–ए–उखरवी से भी निजात होजाये ऐन के इलावा क्योंकि ऐन का अबराअ़ दुरुस्त नहीं।

मसअ्ला.12:– जिस चीज का दावा था बाद सुलह उसका हकदार पैदा होगया तो मुद्दई को इस मुस्तहिक से खुसूमत और मुकद्दमे बाजी करनी होगी और मुस्तहिक ने हक साबित ही कर दिया, तो उसके एवज में मुद्दई को बदले सुलह वापस करना होगा और अगर बदले सुलह में कोई दूसरा शख्स हकदार निकला, और उसने कुल या जुज़ लेलिया, तो मुद्दई फिर दावे की तरफ रुजूअ़ करेगा कुल मे कुल का दावा बाज में बाज का दावा कर सकता है हाँ अगर गैर मुतअय्यन चीज, यानी रूपये, अशर्फी का दावा था और उसी पर मुसालहत हुई यानी जिस चीज का दावा था। उसी जिन्स पर मुसालहत हुई और हकदार ने अपना हक साबित करके लेलिया तो सुलह बातिल नहीं होगी बल्कि मुस्तहिक ने जितना लिया, उतना ही यह मुद्दा अलैह से ले। मसलन हजार का दावा था और सौ रूपये मे सुलह हुई। मुस्तहिक ने कहा यह मेरे रूपये हैं तो मुद्दई दूसरे सौ रूपये मुद्दा अलैह से ले सकता है। (दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.13:– इन्कार या सुकूत के बाद सुलह हुई और उस सुलह में लफ़्ज़े बैअ़ इस्तेमाल किया, मुद्दा अलैह ने कहा कि इतने में या इसके एवज बैअ़ की या खरीदी और बदले सुलह का कोई हकदार पैदा होगया और लेगया तो मुद्दई, मुद्दा अलैह से वह चीज लेगा जिसका दावा किया था यह नहीं, कि फिर दावा की तरफ रुजूअ़ करे क्योंकि मुद्दा अलैह का बैअ़ करना मुद्दई की मिल्क तस्लीम कर लेना है लिहाजा इस सूरत में इनकार या सुकूत नहीं है। (दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.14:– बदले सुलह अभी तक मुद्दई को तस्लीम नहीं किया गया है और हलाक होगया। इसका हुक्म वही है जो इस्तेहकाक का है ख्वाह यह सुलह इकरार के बाद हो या इन्कार व सुकूत के बाद दोनों सूरतों में फर्क नहीं यह उस सूरत में है कि बदले सुलह मुअय्यन होने वाली चीज हो और अगर गैर मुअय्यन चीज हो तो हलाक होने से सुलह पर कुछ असर नहीं पड़ेगा मुद्दा अलैह उतना ले सकता है जितना मुकर्रर हुआ। (दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.15:– यह दावा था कि इस मकान मे मेरा इतना हक है। किसी चीज को देकर सुलह होगई फिर इस मकान के किसी जुज में इस्तेहकाक हुआ। अगरचे मुस्तहिक का यह दावा है कि एक हाथ के सिवा बाकी यह सारा मकान मेरा है और मुस्तहिक ने लेलिया। मुद्दा अलैह मुद्दई से कुछ वापस नहीं लेसकता क्योंकि होसकता है कि वह एक हाथ जो बचा है वही मुद्दई का हो और अगर मुस्तहिक ने पूरे मकान को अपना साबित किया तो जो कुछ मुद्दई को दिया गया है वापस लिया जायेगा। (हिदाया)

मसअ्ला.16:– जिस ऐन का दावा था उसी के एक जुज पर मुसालहत हुई मसलन मकान का दावा था उसी मकान का एक कमरा या कोठरी देकर सुलह की गई, यह सुलह जाइज नहीं क्योंकि मुद्दई ने जो कुछ लिया, यह तो खुद मुद्दई का था ही, और मकान के बाकी अजजा व हिस्सा का इबरा कर दिया

यानी बाकी हिस्सों से बरी कर दिया और ऐन में इब्रा दुरुस्त नहीं। हाँ इसके जवाज़ की सूरत यह बन सकती है कि मुद्दई को इलावा इस जुज व मकान के एक रूपया या कपड़ा या कोई चीज़ बदले सुलह में इज़ाफ़ा की जाये कि यह चीज़ बकिया हिस्सा मकान के एवज में होजायेगी दूसरा तरीका यह है कि एक जुज पर सुलह हुई और बाकी अजज़ा के दावे से दस्त बर्दारी देदे। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– मकान का दावा था और इस बात पर सुलह हुई कि मुद्दई इस कमरे में हमेशा या उम्र भर सुकूनत करेगा यह सुलह भी सही नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.18:– दैन का दावा था और उसके एक जुज़ पर मुसालहत हुई मसलन हजार का दावा था पाँचसौ पर मुसालहत होगई या ऐन का दावा हो, और दूसरी ऐन के जुज़ पर सुलह हुई मसलन मकान का दावा था दूसरे मकान के एक कमरे के एवज़ में मुसालहत हुई, यह सुलह जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.19:– माल के दावे में मुतलकन सुलह जाइज़ है चाहे माल पर सुलह हो या मनफ़अत पर हो, इक़रार के बाद या इन्कार व सुकूत के बाद, क्योंकि यह सुलह बैअ या इजारा के माना में है। और जहाँ वह जाइज़ यह भी जाइज़। दावा–ए–मनफ़अत में भी सुलह मुतलकन जाइज़ है। माल के बदले में भी हो सकती है और मनफ़अत के बदले में भी, मगर मनफ़अत को अगर बदले सुलह क़रार दें तो ज़रूर है कि दोनों मनफ़अतें दो तरह की हों एक ही जिन्स की न हों मसलन मकान किराये पर लिया है और सुलह ख़िदमते गुलाम पर हुई, यह जाइज़ है और अगर एक ही जिन्स की हों मसलन मकान की सुकूनत का दावा था और सुकूनते मकान ही को बदले सुलह क़रार दिया, यह जाइज़ नहीं मसलन वारिस् पर दावा किया कि तेरे मूरिस् ने इस मकान की सुकूनत की मेरे लिये वसियत की है वारिस् ने इक़रार किया या इन्कार, फिर माल पर सुलह हो, या दूसरी जिन्स की मनफ़अत पर सुलह हो, जाइज़ है। (दुरर, गुरर)

मसअ्ला.20:– एक मजहूलुल हाल शख़्स (ऐसा शख़्स जिसके आजाद या गुलाम होने का लोगों को इल्म न हो (अमीनुल कादरी)) पर दावा किया, कि यह मेरा गुलाम है उसने माल देकर मुसालहत की यह सुलह जाइज़ है और इसको माल के एवज़ में इत्क़ (आज़ाद) क़रार देंगे। फिर अगर इक़रार के बाद सुलह हुई तो मुद्दई को वला मिलेगा, वरना नहीं। हाँ अगर बय्यिना (गवाहों) से उसका गुलाम होना साबित करदे तो अगरचे मुद्दा'अलैह मुन्किर है। मुद्दई को वला मिलेगा। बय्यिना से साबित करने की वजह से वह गुलाम नहीं बनाया जासकता है यही हुक्म सब जगह है यानी सुलह के बाद अगर मुद्दई गवाहों से अपना हक़ साबित करे, और यह चाहे, कि मैं इस चीज़ को लेलूँ यह नहीं हो सकता क्योंकि चीज़ अगर उसकी है तो मुआवज़ा उस चीज़ का लेचुका फिर मुतालबा के क्या माना(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.21:– मर्द ने एक औरत पर जो शौहर वाली नहीं है निकाह का दावा किया। औरत ने माल देकर सुलह की यह सुलह खुला के हुक्म में है। मगर मर्द ने अगर झूटा दावा किया था तो इस माल को लेना हलाल नहीं और औरत को इसी वक़्त दूसरा निकाह करना जाइज़ है यानी उस पर इद्दत नहीं है क्योंकि दुख़ूल पाया नहीं गया। और अगर औरत ने मर्द पर निकाह का दावा किया, और मर्द ने माल देकर सुलह की यह सुलह ना'जाइज़ है क्योंकि इस सुलह को किसी अक़्द के तहत में दाख़िल नहीं कर सकते। (दुरर)

मसअ्ला.22:– गुलाम माज़ून ने किसी को अमदन (जान बूझकर) क़त्ल किया था और वली मक़तूल से खुद गुलाम ने सुलह की यानी क़िसास न लो इसके एवज़ में यह माल लो, तो यह सुलह जाइज़ नहीं। मगर इस सुलह का यह असर होगा कि क़िसास साक़ित होजायेगा और गुलाम जब आज़ाद होगा उस वक़्त बदले सुलह वसूल किया जायेगा और माज़ून के गुलाम ने अगर किसी को क़त्ल किया था उस माज़ून ने माल पर सुलह कर ली यह सुलह जाइज़ है क्योंकि यह उसकी तिजारत की चीज़ है और ख़ुद तिजारत की चीज़ नहीं है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.23:– माले मग़सूब हलाक होगया मालिक ने ग़ासिब से मुसालहत की इसकी चन्द सूरतें है। अगर मग़सूब मिस्ली है और जिस चीज़ पर मुसालहत हुई वह उसी जिन्स की है तो ज़्यादा पर

सुलह जाइज़ नहीं और अगर दूसरी जिन्स की चीज़ पर सुलह हुई तो जाइज है। और अगर वह चीज कीमती है और जितनी कीमत उसकी है उससे ज्यादा पर सुलह हुई, यह भी जाइज है यानी कम व बराबर पर तो जाइज़ है ही, ज्यादा पर भी जाइज़ है। और अगर किसी मताअ़ (सामान) पर सुलह हो, यह भी जाइज़ है मस्लन एक गुलाम ग़सब किया, जिसकी कीमत एक हजार थी और हलाक होगया दो हजार रूपये पर मुसालहत की, या कपड़े के थान पर सुलह हुई जाइज़ है और अगर ग़ासिब ने खुद हलाक किया है जब भी यही हुक्म है। और अगर उसके मुताल्लिक काजी का हुक्म, मस्लन एक हज़ार ज़िमान का होचुका, या उतना ही, कि क़ीमत तावान में दे तो ज़्यादा पर सुलह नहीं होसकती। (दुरर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.24:– सूरते मज़कूरा में कि क़ीमत से ज़्यादा पर या मताअ् (सामान) पर सुलह हुई। ग़ासिब गवाह पेश करना चाहता है कि उस मग़सूब की क़ीमत इससे कम है जिस पर सुलह हुई है यह गवाह मक़बूल न होंगे और अगर दोनों मुत्तफ़िक़ होकर भी यह कहें, कि क़ीमत कम थी जब भी ग़ासिब मालिक से कुछ वापस नहीं लेसकता। (बहर)

मसअ्ला.25:– गुलामे मुश्तरक को एक शरीक ने आज़ाद करदिया, और यह आज़ाद करने वाला मालदार है तो हुक्म यह है कि निस्फ़ क़ीमत दूसरे को ज़मान दे। अब इस सूरत में अगर निस्फ़ क़ीमत से ज़्यादा पर सुलह हुई तो यह जाइज़ नहीं कि शरअ् ने जब निस्फ़ क़ीमत मुक़र्रर करदी है तो उसपर ज़्यादती नहीं होसकती जिस तरह मग़सूब की क़ीमत का तावान क़ाज़ी ने मुक़र्रर कर दिया तो अब ज़्यादा पर सुलह नहीं होसकती कि क़ाज़ी का मुक़र्रर करना भी शरअ् का मुक़र्रर करना है। (बहर)

मसअ्ला.26:– मग़सूब चीज़ को ग़ासिब के सिवा किसी दूसरे ने हलाक कर दिया और मालिक ने ग़ासिब से क़ीमत से कम पर सुलह करली, यह सुलह जाइज़ है और ग़ासिब हलाक कुनन्दा से पूरी क़ीमत वसूल कर सकता है मगर जितना ज़्यादा लिया है उसको सदक़ा करदे और मालिक को भी यह इख़्तियार है कि हलाक कुनन्दा ही से क़ीमत से कम पर सुलह करे। (बहर)

मसअ्ला.27:– जनायते अ़मद जिसमें क़िसास वाजिब होता है ख़्वाह वह क़त्ल हो, या उससे कम मस्लन क़त्अे अ़ज़्व (कोई जिस्म का हिस्सा काटना) इसमें अगर दियत (वह माल जो क़त्ल वग़ैरा के एवज में देना करार पाया जाये (अमीनुल क़ादरी)) से ज़्यादा पर सुलह हुई, यह जाइज़ है और जनायते ख़ता में दियत से ज़्यादा पर सुलह ना'जाइज़ है कि इसमें शरअ् की तरफ़ से दियत मुक़र्रर है उसपर ज़्यादती नहीं हो सकती हाँ दियत में जो चीज़ें मुक़र्रर हैं उनके एलावा दूसरी चीज़ पर सुलह हो और यह चीज क़ीमत में ज़्यादा हो तो यह सुलह जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.28:– मुद्दा'अ़लैह ने किसी को सुलह के लिये वकील किया, उस वकील ने सुलह की, अगर दावा दैन का था और दैन के बाज़ हिस्से पर सुलह हुई या ख़ूने अ़मद का दावा था और सुलह हुई, इस सूरत में यह वकील सफ़ीरे महज़ है। मुद्दई इससे बदले सुलह का मुतालबा नहीं कर सकता। बल्कि वह बदले सुलह मुवक्किल पर लाज़िम है उसी से मुतालबा होगा हाँ अगर वकील ने बदले सुलह की ज़मानत करली है तो वकील से इस ज़मानत की वजह से मुतालबा होगा यूंही माल का दावा था और माल पर सुलह हुई और मुद्दा'अ़लैह इक़रारी था तो वकील से मुतालबा होगा कि यह सुलह बैअ् के हुक्म में है और बैअ् का वकील सफ़ीरे महज़ नहीं होता बल्कि हुक़ूक़ उसी की तरफ़ आयद होते हैं और अगर मुद्दा'अ़लैह मुन्किर है तो वकील से मुतलक़न मुतालबा नहीं। माल पर सुलह हो या किसी और चीज़ पर। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.29:– मुद्दा'अ़लैह ने इससे सुलह के लिये नहीं कहा, इसने ख़ुद सुलह करली यानी फ़ुज़ूली होकर अगर माल का ज़ामिन होगया या सुलह को अपने माल की तरफ़ निस्बत की या कह दिया इस चीज़ पर, या कहा इतने पर, मस्लन हज़ार रूपये पर सुलह करता हूँ और देदिये, तो सुलह जाइज़ है और यह फ़ुज़ूली इन सूरतों में मुतबर्रेअ् (एहसान करने वाला) है। मुद्दा'अ़लैह से वापस

नहीं लेसकता और अगर इसके हुक्म से मुसालहत करता, तो वापस लेता और अगर फ़ुजूली ने कह दिया कि इतने पर सुलह करता हूँ और दिया नहीं तो यह सुलह इजाज़ते मुद्दा'अलैह पर मौक़ूफ़ है वह जाइज़ कर देगा जाइज़ हो जायेगी और माल लाज़िम आजायेगा वरना जाइज़ नहीं होगी। फ़ुजूली ने खुलअ् किया, इसमें भी यही पाँच सूरतें हैं और यही अहकाम। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.30:– एक ज़मीन के वक़्फ़ का दावा किया, मुद्दा'अलैह मुन्किर है और मुद्दई के पास सुबूत के गवाह नहीं हैं। मुद्दा अ़लैह ने कुछ देकर क़तअ़े मुनाज़अ़त (झगड़ा ख़त्म करने) के मुसालहत करली यह सुलह जाइज़ है और अगर मुद्दई अपने दावे में सादिक़ है तो बदले सुलह भी इसके लिये हलाल है और बाज़ उ़लमा फ़रमाते हैं कि हलाल नहीं।(दुर्रेमुख़्तार) और यही क़ौल मिन हैसुद्दलील (दलील के लिहाज से) क़वी मालूम होता है क्योंकि यह सुलह बैअ् के हुक्म में है और वक़्फ़ की बैअ् दुरुस्त नहीं बल्कि यह सुलह सही भी न होना चाहिए क्योंकि वक़्फ़ उसका हक़ नहीं, जिसका मुआवज़ा लेना दुरुस्त हो।

मसअ्ला.31:– सुलह के बाद फिर दूसरी सुलह हुई। वह पहली ही सही है और दूसरी बातिल, यह जब कि वह सुलह इस्क़ात (यानी पहली सुलह ख़त्म करने वाली हो) हो। और अगर मुआवज़ा हो जो बैअ् के माना में हो तो पहली सुलह फ़स्ख़ होगई और दूसरी सही। जिस तरह बैअ् का हुक्म है जब कि बाइअ् ने मबीअ् को उसी मुश्तरी के हाथ बैअ् किया। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मोहतार)

मसअ्ला.32:– मुद्दा'अ़लैह ने दावे से इन्कार कर दिया था इसके बाद सुलह हुई अब वह गवाह पेश करता है कि मुद्दई ने सुलह से पहले यह कहा था कि मेरा उस मुद्दा'अ़लैह पर कोई हक़ नहीं है वह सुलह ब'दस्तूर क़ायम रहेगी और अगर मुद्दई ने सुलह के बाद यह कहा कि मेरा इसके ज़िम्मे कोई हक़ न था तो सुलह बातिल है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.33:– अमीन के पास अमानत थी जब तक उसके हलाक का दावा न करे सुलह नहीं हो सकती और हलाक का दावा करने के बाद मुसालहत होसकती है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.34:– अमीन ने अमानत से ही इन्कार किया, कहता है मेरे पास अमानत रखी नहीं और मालिक अमानत रखने का मुद्दई है सुलह हो सकती है। अमीन अमानत का इक़रार करता है और मालिक मुतालबा करता है मगर अमीन ख़ामोश है मालिक कहता है इसने मेरी चीज़ हलाक करदी, सुलह हो सकती है और अगर मालिक हलाक करने का दावा करता है और अमीन कहता है मैंने चीज़ वापस करदी, या वह चीज़ हलाक होगई, और मालिक कुछ नहीं कहता, इसमें सुलह जाइज़ नहीं। (रद्दुल'मोहतार)

मसअ्ला.35:– मुद्दा'अ़लैह का सुलह की ख़्वाहिश करना, या यह कहना कि दावे से मुझे बरी कर दो यह दावे का इक़रार नहीं है। और यह कहना कि जिस माल का दावा है उससे सुलह करलो। या उससे मुझे बरी करदो यह माल का इक़रार है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.36:– मबीअ् में ऐब का दावा किया और सुलह होगई बाद में ज़ाहिर हुआ कि ऐब था ही नहीं या ऐब ज़ाइल होगया था सुलह बातिल होगई जो कुछ लिया है वापस करे। यूंही दैन का दावा था और सुलह होगई फिर मालूम हुआ दैन नहीं था सुलह बातिल होगई जो कुछ लिया है वापस करदे। (दुर्रेमुख़्तार)

दावा–ए–दैन में सुलह का बयान

मसअ्ला.1:– मुद्दा'अ़लैह पर जो दैन (क़र्ज़) है या उसने कोई चीज़ ग़सब की है अगर सुलह उसी जिन्स की चीज़ पर हुई तो बाज़ हक़ को लेलेना, और बाक़ी को छोड़ देना है इसका मुआवज़ा क़रार देना दुरुस्त नहीं वरना सूद होजायेगा लिहाज़ा सुलह के जाइज़ होने में बदले सुलह पर क़ब्ज़ा करना ज़रूरी नहीं मसलन हज़ार रूपये हाल यानी ग़ैर मीआदी थे सौ रूपये पर जो फ़ौरन लिये जायेंगे सुलह हुई यह दुरुस्त है। अगरचे मज्लिसे सुलह में उन पर क़ब्ज़ा न किया हो या हज़ार ग़ैर मीआदी थे सुलह हुई, हज़ार रूपये पर जिनकी कोई मीआद मुक़र्रर हुई या हज़ार रूपये खरे थे और सौ रूपये खोटे पर सुलह हुई। पहली सूरत में मिक़दार कम करदी। दूसरी में मीआद बढ़ादी यानी फ़ौरन लेने का हक़ साक़ित करदिया। तीसरी सूरत में मिक़दार और वस्फ़ दो चीज़ें

साकित करदीं। मुद्दा'अलैह के जिम्मे रूपये थे और अशर्फी पर सुलह हुई और उसके अदा करने की मीआद मुकर्रर हुई यह सुलह ना'जाइज़ है कि गैर जिन्स पर सुलह अक्दे मुआवज़ा है और चाँदी की सोने से बैअ् हो, तो मज्लिस में क़ब्ज़ा करना ज़रूरी होता है। हज़ार रूपये मीआदी थे और सुलह हुई कि पाँच सौ फ़ौरन अदा करदे यह सुलह भी ना'जाइज़ है कि पाँच सौ के बदले में मीआद को बैअ् करना है और यह ना'जाइज़ है या हज़ार रूपये खोटे थे पाँच सौ खरे पर सुलह हुई। यह सुलह भी ना'जाइज़ है कि वस्फ़ को पाँचसौ के बदले में बैअ् करना हैं और यह ना'जाइज़ है कि वस्फ़ को पाँचसौ के बदले में बैअ् करना है और यह जाइज़ नहीं।

क़ायदा कुल्लिया यह है : कि दाइन की तरफ़ अगर एहसान हो, तो इस्क़ात है और सुलह जाइज़ है और दोनों की तरफ़ से हो, तो मुआवज़ा है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– एक हज़ार का दावा था और मुद्दा'अलैह इन्कारी है फिर सौ रूपये पर सुलह हुई। अगर मुद्दई ने यह कहा कि सौ रूपये पर मैंने सुलह की और बाक़ी मुआफ़ करदिये तो क़ज़ाअ्न व दयानतन हर तरह से मुद्दा'अलैहि बक़िया से बरी होगया और अगर यह कहा, कि सौ रूपये पर सुलह की और यह नहीं कहा, बक़िया मैंने मुआफ़ किये तो मुद्दा'अलैह क़ज़ाअ्न बरी होगया। दयानतन नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– मदयून से कहा, कि तुम्हारे ज़िम्मे हज़ार रूपये हैं कुल पाँच सौ अदा करदो इस शर्त पर, कि बाक़ी पाँच सौ से तुम बरी। अगर अदा करदिये बरी होगया वरना पूरे हज़ार रूपये उसके ज़िम्मे हैं। दूसरी सूरत यह है कि आधे दैन पर मुसालहत हुई कि कल अदा कर देगा और बाक़ी से बरी होजायेगा और यह शर्त है कि अगर कल अदा न किये, तो पूरा दैन बदस्तूर उसके ज़िम्मे होगा इस सूरत में जैसा कहा है वही है। चौथी सूरत यह है पाँचसौ से मैंने तुझे बरी कर दिया इस बात पर कि पाँचसौ कल अदा करदे पाँचसौ मुआफ़ होगये कल के रोज़ अदा करे, या न करे। पाँचवीं सूरत यह है कि यूं कहा कि अगर तू पाँचसौ कल के दिन अदा करदेगा तो बाक़ी से बरी हो जायेगा इस सूरत में हुक्म यह है कि अदा करे, या न करे बरी न होगा। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला.4:– मदयून पर एक सौ रूपये और दस अशर्फ़ियाँ बाक़ी हैं एक सौ दस रूपये पर सुलह हुई अगर अदा के लिये मीआद है सुलह ना'जाइज़ है और अगर उसी वक़्त देदिये, सुलह जाइज़ है अगर दस रूपये फ़ौरन दिये, और सौ बाक़ी रहे, जब भी जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– एक शख़्स पर हज़ार रूपये बाक़ी हैं और यूँ सुलह हुई कि महीने के अन्दर दोगे तो सौ रूपये और एक माह के अन्दर न दिये तो दो सौ रूपये देने होंगे। यह सुलह सही नहीं है(आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– एक ने दूसरे पर कुछ रूपये का दावा किया। मुद्दा'अलैह ने इन्कार कर दिया, फिर दोनों में मुसालहत होगई कि इतने रूपये उस वक़्त दिये जायेंगे और इतने आइन्दा फ़ुलां तारीख़ पर, यह सुलह जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– सौ रूपये बाक़ी हैं और दस मन गेहूँ पर सुलह हुई उनके देने की मीआद मुकर्रर हो, या न हो अगर इस मज्लिस में क़ब्ज़ा न किया, सुलह बातिल है और अगर गेहूँ मोअय्यन होगये। यानी यूँ सुलह हुई कि यह गेहूँ दूँगा तो क़ब्ज़ा करे, या न करे सुलह जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– पाँच मन गेहूँ मदयून के ज़िम्मे बाक़ी हैं और दस रूपये पर सुलह हुई अगर रूपये पर उसी वक़्त क़ब्ज़ा होगया सुलह जाइज़ और बिग़ैर क़ब्ज़ा दोनों जुदा होगये, सुलह ना'जाइज़। और अगर पाँच रूपये पर क़ब्ज़ा कर लिया, और पाँच पर नहीं तो आधे गेहूँ के मुक़ाबिल सुलह सही है और निस्फ़ के मुक़ाबिल बातिल। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– दस मन गेहूँ इसके ज़िम्मे हैं पाँच मन गेहूँ और पाँच मन जौ पर सुलह हुई और जौ के लिये मीआद मुकर्रर की, यह सुलह ना'जाइज़ हैं और जौ को मोअय्यन कर दिया हो सुलह जाइज़ है अगरचे गेहूँ मोअय्यन न हों। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– रूपये का दावा था और सुलह यूँ हुई कि मदयून इस मकान में एक साल रह कर

दाइन को देदे या यह गुलाम एक साल तक मदयून की ख़िदमत करे, फिर मदयून उसे दाइन को देदे यह सुलह ना जाइज़ है कि यह सुलह बैअ़ के हुक्म में है और बैअ़ में ऐसी शर्त बैअ़ को फ़ासिद कर देती है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– मदयून ने रूपये अदा कर दिये हैं मगर दाइन इन्कार करता है फिर सौ रूपये पर सुलह हुई। अगर दाइन के इल्म में वसूल होना है तो लेना जाइज़ नहीं। (ख़ानिया)

मसअ्ला.12:– दैन का कोई गवाह नहीं है। दाइन यह चाहता है कि मदयून से दैन का इक़रार कराले, ताकि वक़्त पर काम आये। मदयून ने कहा, मैं इक़रार नहीं करूँगा जब तक तू दैन की मीआद न करदे या उसमें से इतने कम न करदे, दाइन ने ऐसा ही कर दिया यह मीआद का मुक़र्रर करना, या मुआफ़ कर देना सही है। यह नहीं कहा जा सकता कि इकराह के साथ ऐसा हुआ है। यह इकराह नहीं है, और अगर मदयून ने वह बात एलानिया कह दी कि जब तक ऐसा न करोगे। मैं इक़रार न करूँगा तो इससे कुल मुतालबा फ़ौरन वसूल किया जायेगा क्योंकि दैन का इक़रार हो चुका है। (दुरर)

मसअ्ला.13:– दैन मुश्तरक का हुक्म यह है कि एक शरीक ने मदयून से जो कुछ वसूल किया, दूसरा भी उसमें शरीक है मसलन सौ में से पचास एक शरीक ने वसूल किये तो दूसरे शरीक से यह नहीं कह सकता, कि अपने हिस्से के मैंने पचास वसूल कर लिये अपने हिस्से के तुम वसूल करलो। दूसरा इन पचास में से पच्चीस ले सकता है उसको इन्कार का हक़ नहीं है हाँ अगर दूसरा खुद मदयून ही से वसूल करना चाहता है इस वजह से मुतालबा नहीं करता, तो उसकी ख़ुशी मगर चाहे शरीक से मुतालबा कर सकता है यानी अगर फ़र्ज़ करो, मदयून दिवालिया होगया या कोई और सूरत होगई तो यह अपने शरीक से वसूल शुदा में से आधा ले सकता है। (हिदाया वग़ैरहा)

मसअ्ला.14:– दैन मुश्तरक की यह सूरत है कि एक ही सबब से दोनों का दैन साबित हो मसलन दोनों ने एक अक़्द में बैअ़ की, उसका समन दैन मुश्तरक है। इसकी दो सूरतें हैं एक यह है कि एक चीज़ दोनों की शिरकत में थी और एक ही अक़्द में उसको बैअ़ किया, यह समन दैने मुश्तरक है। दूसरी यह कि दोनों की दो चीज़ें थीं मगर एक ही अक़्द में दोनों को बिग़ैर तफ़सीले समन बैअ़ किया यह कह दिया कि इन दोनों को इतने में बेचा, यह नहीं, कि इतने में इसको, इतने में, इसको। और, अगर दो अक़्द में चीज़ बैअ़ की गई तो समन को दैन मुश्तरक नहीं कह सकते। मसलन दोनों अपनी अपनी चीज़ें उस मुश्तरी के हाथ में बैअ़ कीं, या चीज़ दोनों में मुश्तरक है। मगर उसने कहा मैंने अपना हिस्सा तुम्हारे हाथ पाँचसौ में बेचा, दूसरे ने कहा मैंने अपना हिस्सा पाँचसौ में बेचा तो यह दैन मुश्तरक नहीं अगरचे शय मुश्तरक का समन है। यूंही तफ़सीले समन कर देने में भी समन दैने मुश्तरक नहीं मसलन दो चीज़ें हैं एक अक़्द में दस रूपये में बेचीं और यह कहा कि इसका समन चार रूपये है और इसका छः रूपये, यह दैन मुश्तरक नहीं। दूसरी सूरत दैन मुश्तरक की यह है कि मूरिस का किसी पर दैन था उसके मरने के बाद यह दोनों वारिस हुए वह दैन इनमें मुश्तरक है। तीसरी सूरत यह है कि एक मुश्तरक चीज़ को किसी ने हलाक कर दिया जिसकी क़ीमत का ज़मान (तावान) उस पर वाजिब हुआ। यह ज़मान दैने मुश्तरक है। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.15:– दैने मुश्तरक में एक शरीक ने मदयून से अपने हिस्से में ख़िलाफ़े जिन्स पर मुसालहत करली। मसलन अपने हिस्से के बदले में उसने एक कपड़ा मदयून से लिया तो दूसरे शरीक को इख़्तियार है कि अपना हिस्सा मदयून से वसूल करे या उसी कपड़े में से आधा लेले अगर कपड़े में से निस्फ़ लेना चाहता है तो वसूल कुनन्दा देने से इन्कार नहीं कर सकता हाँ अगर वह अस्ल दैन की चहारुम का ज़ामिन होजाये तो कपड़े में निस्फ़ का मुतालबा नहीं कर सकता(हिदाया)

मसअ्ला.16:– मदयून से मुसालहत नहीं की है बल्कि अपने निस्फ़ दैन के बदले में उससे कोई चीज़ ख़रीदी तो यह शरीक दूसरे के लिये चहारुम दैन का ज़ामिन होगया क्योंकि बैअ़ के ज़रिआ से समन व दैन में मुक़ास्सा (अदला बदला) होगया शरीक इसमें से निस्फ़ यानी चहारुम दैन वसूल कर

सकता है और यह भी हो सकता है कि मद्यून से अपने हिस्से को वसूल करे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– एक शरीक ने मद्यून को अपना हिस्सा मुआफ़ कर दिया। दूसरा शरीक उस मुआफ़ करने वाले से मुतालबा नहीं कर सकता क्योंकि वसूल नहीं किया है बल्कि छोड़ दिया है। इसी तरह एक के ज़िम्मे मद्यून का पहले से दैन था फिर मद्यून पर दैन मुश्तरक हुआ, इन दोनों ने मुक़ास्सा (अदला बदला) कर लिया, दूसरा शरीक उससे कुछ मुतालबा नहीं कर सकता। और अगर एक शरीक ने अपने हिस्से में से कुछ मुआफ़ कर दिया, या दैन साबिक़ से मुक़ास्सा किया तो बाक़ी दैन सिहाम (हिस्सो)पर तक़सीम किया जायेगा मस्लन बीस रूपये थे एक ने पाँच रूपये मुआफ़ करदिये तो जो कुछ वसूल होगा उसमें एक तिहाई एक की और दो तिहाईयां उसकी जिसने मुआफ़ नहीं किया है (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.18:– इन दोनों शरीकों में से एक पर मद्यून का अब जदीद दैन हुआ इस दैन से मुक़ास्सा दैन वसूल करने के हुक्म में है दूसरा इसका निस्फ़ उससे वसूल करेगा मस्लन मद्यून ने कोई चीज़ दाइन के हाथ बैअ् की इस दैन और समन में मुक़ास्सा हुआ। अगर औरत मद्यून थी एक शरीक ने उससे निकाह किया, और मुतलक़ रूपये को दैने महर किया, यह नहीं, कि दैन के हिस्से को महर क़रार दिया हो। फिर दैने महर और उस दैन में मुक़ास्सा हुआ उसका निस्फ़ दूसरा शरीक इस निकाह करने वाले से ले सकता है और अगर निकाह उस हिस्सा–ए–दैन पर हुआ तो शरीक को उससे लेने का इख़्तियार नहीं। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.19:– शरीक ने मद्यून की कोई चीज़ ग़सब करली या उसकी कोई चीज़ किराये पर ली और उजरत में दैन का हिस्सा क़रार पाया यह दैन पर क़ब्ज़ा है। मद्यून की कोई चीज़ तल्फ़ (बर्बाद) करदी या क़स्दन जनायत करके, अपने हिस्सा–ए–दैन पर मुसालहत की यह क़ब्ज़ा नहीं है यानी इस सूरत में दूसरा शरीक इससे मुतालबा नहीं कर सकता। (बहर)

मसअ्ला.20:– एक ने मीआद मुक़र्रर की, अगर यह दैन इनके अ़क़्द के ज़रिआ से न हो मस्लन दैने मुअज्जिल (वह क़र्ज़ जिस की अदायगी का वक़्त मुक़र्रर किया गया हो (अमीनुल क़ादरी)) के यह दोनों वारिस् हुए तो इसका मीआद मुक़र्रर करना बातिल है मस्लन मूरिस् के हज़ार रूपये बाक़ी थे एक वारिस् ने यूँ सुलह की, कि एक सौ इस वक़्त देदो बाक़ी चार सौ के लिये साल भर की मीआद है यह मीआद मुक़र्रर करना बातिल है यानी इन सौ रूपये में से दूसरा वारिस् पचास ले सकता है। और अगर दूसरे वारिस् ने साल के अन्दर मद्यून से कुछ वसूल किया, तो इसमें से निस्फ़ पहला वारिस् ले सकता है यह दूसरा उससे यह नहीं कह सकता कि तुमने एक साल की मीआद दी है। तुम्हारा हक़ नहीं और अगर इनमें से एक ने मद्यून से अ़क़्दे मदायना (क़र्ज़ का लेन देन) किया, इस वजह से मुद्दत वाजिब हुई तो अगर यह शिरकत शिरकते इनान है और जिसने अ़क़्द किया है उसी ने अजल (अदायगी की मुद्दत) मुक़र्रर की, तो जमीअ् दैन (तमाम क़र्ज़) में अजल सही है और अगर उसने अजल मुक़र्रर की, जिसने अ़क़्द नहीं किया है तो ख़ास उसके हिस्से में भी अजल सही नहीं और अगर उन दोनों में शिरकते मुफ़ावज़ा है तो जो कोई अजल मुक़र्रर करदे, सही है। (बहर ख़ानिया)

मसअ्ला.21:– दो शख़्सों ने बतौर शिरकत अ़क़्दे सलम किया है। इनमें से एक ने अपने हिस्से में मुसल्लम इलैह से सुलह करली कि रासुल माल जो दिया गया है उसमें से जो मेरा हिस्सा है उस पर सुलह करता हूँ यह सुलह दूसरे शरीक की इजाज़त पर मौक़ूफ़ है उसने जाइज़ करदी, जाइज़ होगई। जो माल मिल चुका है यानी हिस्सा–ए–मुसालेह(यह हिस्सा जिस में सुलह होचुकी है)वह दोनों में मुनक़सिम होजायेगा और जो सलम बाक़ी है वह दोनों में मुश्तरक है मस्लन वह ग़ल्ला जो निस्फ़ सलम का बाक़ी है यह दोनों में मुश्तरक है और अगर उसके शरीक ने रद्द करदिया तो सुलह बातिल होजायेगी हाँ अगर इन दोनों में शिरकते मुफ़ावज़ा है तो यह सुलह मुतलक़न जाइज़ है(दुर्र, बहर)

मसअ्ला.22:– दो शख़्सों के दो क़िस्म के माल एक शख़्स पर बाक़ी हैं मस्लन एक के रूपये दूसरे की अशर्फ़ियाँ हैं दोनों ने एक साथ सौ रूपये पर सुलह की, यह जाइज़ है। इन सौ रूपये को

अशर्फ़ियों की क़ीमत और रूपयों पर तक़सीम किया जाये यानी सौ में से जितना रूपयों के मुक़ाबिल हो वह अशर्फ़ियों वाला ले मगर अशर्फ़ियों वाले के हिस्से में जितने रूपये आयें उनमें सिर्फ़ बैअ़ सर्फ़ क़रार पायेगी यानी उन पर उसी मज्लिस में क़ब्ज़ा शर्त है और रूपये वाले के हिस्से में जितने रूपये आयें उतने की वसूली है बाक़ी जो रह गये, उनको साक़ित कर दिया। (आलमगीरी)

तख़ारुज का बयान

बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि एक वारिस् बिल्मुक़तअ़ (कुल हिस्से के बदले) अपना कुछ हिस्सा लेकर तर्का से निकल जाता है कि अब वह कुछ नहीं लेगा उसको तख़ारुज कहते हैं यह भी एक किस्म की सुलह है।

मसअ्ला.1:– तर्का अ़क्कार यानी जायदादे ग़ैर मन्कूला है या अ़र्ज़ है यानी नुक़ूद (दिरहम, दीनार, रूपये वग़ैरा) के अलावा दूसरी चीज़ें और जिस वारिस् को निकाला उसको कुछ माल देदिया अगरचे जितना दिया है वह उसके हिस्से की क़ीमत से कम या ज़्यादा है, या तर्का सोना है और उसको चांदी दी, या तर्का चांदी है उसको सोना दिया, या तर्का में दोनों चीज़ें हैं और उसको भी दोनों चीज़ें दीं। यह सब सूरतें जाइज़ हैं और उसको मुबादला पर महमूल किया जायेगा (यानी बदला समझा जायेगा (अमीनुल क़ादरी)) और जिसको ग़ैर जिन्स से बदलना क़रार दिया जायेगा उसको जो कुछ दिया है वह उसके हक़ से कम है या ज़्यादा दोनों सूरतें जाइज़ हैं मगर जो सूरत बैअ़ सर्फ़ की है उसमें तक़ाबुज़े बदलैन ज़रूरी है मस्लन चान्दी तर्का है और उसको सोना दिया, या बिल'अ़क्स या तर्का में दोनों हैं और उसको दोनों दीं या एक दिया, कि सब सूरतें बैअ़ सर्फ़ की हैं क़ब्ज़ा इसमें शर्त है। (बहर, दुर्रेमुख़्तार, दुरर)

मसअ्ला.2:– तर्का में सोना चांदी दोनों हैं और निकल जाने वाले को सिर्फ़ एक चीज़ दी या तर्का में सोना चाँदी और दीगर चीजें हैं और उसको सिर्फ़ सोना, या चांदी दी, इसके जवाज़ के लिये शर्त यह है कि इस जिन्स में जितना उसका हिस्सा है उससे वह ज़ायद हो, जो दीगई है मस्लन फ़र्ज़ करो, कि तर्का में रूपये, अशर्फ़ी और हर क़िस्म के सामान हैं और उसका हिस्सा सौ रूपये है और कुछ अशर्फ़ियाँ भी उसके हिस्से की हैं और कुछ दूसरी चीज़ें भी, अगर उसको सिर्फ़ रूपये दिये और वह सौ ही हों या कम यह ना'जाइज़ है कि बाक़ी तर्का उसको कुछ मुआवज़ा नहीं दिया गया और अगर एक सौ पाँच रूपया मस्लन देदिये यह सूरत जाइज़ होगई। क्योंकि सौ रूपये तो सौ रूपये में का हिस्सा है और बाक़ी पाँच रूपये अशर्फ़ियों ओर दूसरी चीज़ों का बदला है यह भी ज़रूरी है कि सोना, चांदी की क़िस्म से जो चीज़ें हों वह सब ब'वक़्ते तख़ारुज हाज़िर हों और उसको यह भी मालूम हो कि मेरा हिस्सा इतना है। (हिदाया वग़ैरहा)

मसअ्ला.3:– उ़रूज़ (अ़र्ज़ की जमा नक़्द के एलावा दूसरी चीज़ें) देकर उसे तर्का से जुदा कर दिया यह सूरत मुत़लक़न जाइज़ है यूंही अगर वुरस़ा उसकी विरासत से ही मुन्किर हैं और कुछ देकर उसे टालना चाहते हैं कि झगड़ा दफ़ा हो तो जो कुछ देंगे, जाइज़ है। और इसमें उन शराइत़ की पाबन्दी नहीं होगी जो ज़िक्र हुईं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– एक वारिस् को ख़ारिज किया, और तर्का में दुयून (क़र्ज़े) हैं। यानी लोगों के ज़िम्मे दैन हैं और शर्त यह ठहरी बक़िया वुरस़ा इस दैन के मालिक हैं वसूल करके ख़ुद लेंगे यह सूरत ना'जाइज़ है। इसके जवाज़ की यह सूरत हो सकती है कि तख़ारुज में यह शर्त हो कि दैन इसका जितना हिस्सा है उसको मदयूनीन (मक़रूज़ लोग) से मुआफ़ करदे उसका हिस्सा मुआफ़ होजायेगा और बक़िया वुरस़ा अपना अपना हिस्सा उन लोगों से वसूल कर लेंगे। दूसरी सूरत जवाज़ की यह है कि उस दैन में जितना हिस्सा उसका होता है वह बक़िया वुरस़ा अपनी तरफ़ से तबर्रोअ़न (ब'तौर एहसान) उसे देदें और बाक़ी में मुसालहत करके उसे ख़ारिज करदें। मगर इन दोनों सूरतों में वुरस़ा का नुक़सान है कि पहली सूरत में मदयूनीन से उतना दैन मुआफ़ होगया। और दूसरी सूरत में भी अपनी तरफ़ से देना पड़ा। लिहाज़ा तीसरी सूरत जवाज़ की यह है कि बक़िया वुरस़ा उसके हिस्से

की क़द्र उसे बतौर क़र्ज़ देदें और दैन के एलावा बाक़ी तर्का में मुसालहत करलें। और यह वारिस् जिसको हिस्सा दैन की क़द्र क़र्ज़ दिया गया है यह बक़िया वुरसा को मद्यूनीन पर हवाला करदे। (हिदाया) एक हीला यह भी हो सकता है कि कोई मुख़्तसर सी चीज मसलन एक मुट्ठी गल्ला उसके हाथ इतने दामों में बैअ् किया जाये जितना दैन में उसका हिस्सा होता है और स्मन को वह मद्यूनीन पर हवाला करदे। (दुर्रेमुख़्तार, दुरर)

मसअ्ला.5:– तर्का में दैन नहीं है मगर जो चीज़ें तर्का में हैं वह मालूम नहीं, और सुलह मकील (वह चीजें जो माप कर बेची जाती हैं) व मौज़ून (वह चीजें जो तोलकर बेची जाती हैं) पर हो यह जाइज़ है। अगर तर्का में मकील व मौज़ून चीज़ें नहीं हैं मगर क्या क्या चीज़ें हैं वह मालूम नहीं इसमें भी तखारुज के तौर पर सुलह हो सकती है। (हिदाया) यह इस सूरत में है कि तर्का की सब चीज़ें बक़िया वुरसा के हाथ में हों कि उस सुलह करने वाले से कुछ लेना नहीं है लिहाज़ा इसमें झगड़े की कोई सूरत नहीं है और अगर तर्का की कुल चीज़ें या बाज़ चीज़ें इसके हाथ में हों तो जब तक उनकी तफ़सील मालूम न हो, मुसालहत दुरुस्त नहीं कि उनकी वसूली में निज़ाअ् की सूरत है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– मय्यित पर इतना दैन है कि पूरे तर्का को मुस्तग़रक़ (यानी वह कर्ज पूरी मीरास् को घेरे हुए है) है तो मुसालहत और तक़सीम दुरुस्त ही नहीं कि दैन हक़्के मय्यित है और यह मीरास् पर मुक़द्दम है हाँ अगर वह वारिस् सुलह करने वाला ज़ामिन होजाये कि जो कुछ दैन होगा उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ मैं अदा करूँगा और तुम से वापस नहीं लूँगा या कोई अजनबी शख़्स तमाम दुयून(कर्जों)का ज़ामिन होजाये कि मय्यित का ज़िम्मा बरी होजाये या यह लोग दूसरे माल से मय्यित का दैन अदा करदें(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– मय्यित पर कुछ दैन है मगर इतना नहीं कि पूरे तर्का को मुस्तग़रक़ हो तो जब तक दैन अदा न कर लिया जाये तक़सीमे तर्का व मुसालहत को मौक़ूफ़ रखना चाहिए क्योंकि अदा–ए–दैन मीरास् पर मुक़द्दम है फिर भी अगर अदा करने से पहले तक़सीम व मुसालहत करलें और दैन अदा करने के लिये कुछ तर्का जुदा करदें तो यह तक़सीम व मुसालहत सही है। मगर फ़र्ज़ करो कि वह माल जो दैन अदा करने के लिये रखा था अगर ज़ाइअ् होजायेगा तो तक़सीम तोड़दी जायेगी ओर वुरसा से तर्का लेकर दैन अदा किया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.8:– एक वारिस् को कुछ देकर तर्का से उसको अ़लाहिदा कर दिया, उसमें दो सूरतें हैं। तर्का ही से वह माल दिया है या अपने पास से दिया है अगर अपने पास से दिया है तो उस वारिस् का हिस्सा यह सब वुरसा बराबर–बराबर तक़सीम करलें। और अगर तर्का से दिया है तो बक़द्र मीरास् उसके हिस्से को तक़सीम करें यानी उस वारिस् को كان لم يكن(यानी गोया कि वह वारिस् ही नहीं) फ़र्ज़ करके, तर्का की तक़सीम की जाये। मय्यित ने जिसके लिये वसियत की है उसको भी कुछ देकर ख़ारिज कर सकते हैं और उसके लिये तमाम वही अहकाम हैं जो वारिस् के लिये बयान किये गये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– एक वारिस् से दीगर वुरसा ने मुसालहत की, और उसको ख़ारिज कर दिया, उसके बाद तर्का में कोई ऐसी चीज़ ज़ाहिर हुई जो उन वुरसा को मालूम न थी ख़्वाह अज़ क़बीले दैन हो या ऐन, आया वह चीज़ सुलह में दाख़िल मानी जायेगी या नहीं, इसमें दो क़ौल हैं। ज़्यादा मशहूर यह है कि वह दाख़िल नहीं, बल्कि उसके हक़दार तमाम वुरसा हैं। (बहर)

मसअ्ला.10:– एक शख़्स अजनबी ने तर्का में दावा किया, और एक वारिस् ने दूसरे वुरसा की अ़दम मौजूदगी में सुलह करली यह सुलह जाइज़ है। मगर दूसरे वुरसा के लिये मुतबर्रा (भलाई का काम) है उनसे मुआ़वज़ा नहीं लेसकता। (बहर)

मसअ्ला.11:– औ़रत ने मीरास् का दावा किया, वुरसा ने उससे उसके हिस्से से कम पर या महर पर सुलह करली यह जाइज़ है। मगर वुरसा को यह बात मालूम हो तो ऐसा करना हलाल नहीं और अगर औ़रत गवाहों से इसको साबित कर देगी तो सुलह बातिल होजायेगी। (बहर)

महर व निकाह व त़लाक़ व नफ़क़ा में सुलह

मसअ्ला.1:– महर गुलाम था और बकरी पर मुसा़लहत हुई। अगर मोअय्यन है जाइज़ है वरना ना'जाइज़ और मकील या मौजून पर सुलह हुई अगर मोअय्यन है जाइज़ है और गै़र'मोअय्यन है तो दो सूरतें हैं उसके लिये मीआद है या नहीं। अगर मीआद है तो ना'जाइज़ और मीआद नहीं है और उसी मज्लिस में देदिया जाइज़ है वरना ना'जाइज, अगरचे फौ़रन देना करार नहीं पाया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– सौ रूपये महर पर निकाह हुआ, बजाए इसके पाँच मन ग़ल्ला पर मुसा़लहत हुई अगर ग़ल्ला मोअ़य्यन है जाइज़ है और गै़र मोअय्यन है ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)

नोटः– इस मसअ्ले में भी सौ रूपये हा न समझे जायें बल्कि महर की जो कम से कम मिक़दार आज के ज़माने में रूपयों में होगी वह या उस से ज्यादा समझें। (अमीनुल क़ादरी)

मसअ्ला.3:– मर्द ने औ़रत पर निकाह़ का दावा किया औरत ने सौ रूपये देकर सुलह की, कि मुझे इससे बरी करदे। मर्द ने क़बूल कर लिया, यह सुलह जाइज है। इसके बा़द मर्द अगर निकाह़ के गवाह पेश करना चाहे, नहीं पेश कर सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– औ़रत ने दा़वा किया, कि मेरे शौहर ने तीन त़लाकें देदी हैं और शौहर मुन्किर है। फिर सौ रूपये पर सुलह होगई कि औ़रत दावे से दस्त'बर्दार होजाये यह सुलह स़ही नहीं। शौहर अपने रूपये औ़रत से वापस ले सकता है और औ़रत का दा़वा ब'दस्तूर है। एक त़लाक़ और दो तलाकें, और खुलअ् का भी यही हुक्म है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– औ़रत ने त़लाके बाइन का दा़वा किया और मर्द मुन्किर है सौ रूपये पर मुसा़लह़त हुई कि मर्द औ़रत को त़लाके़ बाइन देदे यह जाइज़ है। यूंही अगर सौ रूपये देना इस बात पर ठहरा कि मर्द उस त़लाक़ का इकरार करले जिसका औ़रत ने दा़वा किया है यह भी जाइज़ है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– औ़रत ने मर्द पर दावा किया, कि मैं इसकी जौ़जा हूँ और हज़ार रूपये महर के शौहर के ज़िम्मे हैं और बच्चा उसी शौहर का है और मर्द इन सब बातों से मुन्किर है। दोनों में यह सुलह़ हुई कि मर्द औ़रत को सौ रूपये दे और औ़रत अपने दा़वे से दस्त'बर्दार होजाये, शौहर बरी नहीं होगा। बल्कि उसके बा़द अगर औ़रत ने सब बातें गवाहों से सा़बित करदीं तो निकाह़ भी सा़बित, और बच्चे का नसब भी सा़बित। और सौ रूपये जो मर्द ने दिये थे यह सिर्फ़ महर के मुक़ाबिल में हैं यानी हज़ार रूपये महर का दा़वा था, सौ रूपये में सुलह़ होगई। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– नफ़क़ा का दा़वा था और ऐसी चीज पर सुलह़ हुई जिसको का़ज़ी नफ़क़ा मुक़र्रर कर सकता हो मस्'लन रूपया या ग़ल्ला यह मुआ़वज़ा नहीं है बल्कि इस सुलह़ का हा़सिल यह है कि यह चीज़ नफ़क़ा में मुक़र्रर हुई। और अगर ऐसी चीज़ पर सुलह़ हुई जिसको नफ़क़ा में मुक़र्रर नहीं किया जा सकता हो मस्'लन गुलाम या जानवर इसको मुआ़वज़ा क़रार दिया जायेगा इसका हा़सिल यह होगा कि औ़रत ने इस चीज़ को लेकर शौहर को नफ़क़ा से बरी कर दिया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– नफ़क़ा का दा़वा था तीन रूपये माहवार पर सुलह़ हुई अब शौहर यह कहता है कि मुझ में इतना देने की त़ाक़त नहीं उसको देना पड़ेगा। हाँ अगर औ़रत या का़ज़ी उसे बरी करदें, तो बरी हो सकता है और अगर चीज़ों का नर्ख़ अरज़ां (सस्ता) होजाये शौहर कहता है कि इससे कम में गुज़ारा हो सकता है तो कम किया जा सकता है। यूँही औ़रत कहती है कि तीन रूपये किफ़ा़यत नहीं करते, ज़्यादा दिलाया जाये। मर्द मालदार है तो ज़्यादा दिलाया जा सकता है। क़ाज़ी ने नफ़क़ा की मिक़दार मुक़र्रर की है इस सूरत में भी औ़रत दा़वा करके ज़्यादा करा सकती है।(आलमगीरी)

नोट :– तीन रूपये उस दौर में जब कि बहारे शरीअ़त उर्दू लिखी गई थी नफ़क़ा के लिये काफ़ी होंगे मगर आज के दौर में तीन रूपये का नफ़क़े के लिये बहुत कम हैं इस मसअ्ला समझने के लिये तीन रूपये की जगह उतने रूपये पढ़लें जो माहवार ज़रूरी ख़र्चों के लिये काफ़ी हों। (अमीनुल क़ादरी)

मसअ्ला.9:– मुतल्लक़ा के ज़माने–ए–इ़द्दत में चन्द रूपये पर मुसा़लह़त हुई कि बस शौह़र इतने

ही देगा इससे ज़्यादा नहीं देगा। अगर इद्दत महीना से है यह मुसालहत जाइज़ है। और इद्दत हैज़ से है तो जाइज नहीं क्योंकि तीन हैज़ कभी दो महीने, बल्कि कम में पूरे होते हैं। और कभी दस माह में भी पूरे नहीं होते। (खानिया)

मसअ्ला.10:– जिस औरत को तलाके बाइन दी है। जमान-ए-इद्दत तक उसके रहने के लिये मकान देना ज़रूरी है। मकान की जगह रूपये पर मुसालहत हुई कि इतने रूपये लेले, यह सुलह ना'जाइज़ है। (खानिया)

वदीअ़त व हिबा व इजारा व मुज़ारबत में सुलह

मसअ्ला.1:– यह दावा किया कि मैंने उसके पास वदीअत रखी है। मुवद्दअ् (जिसके पास अमानत रखी जाये) कहता है तूने मेरे पास वदीअत नहीं रखी है। इस सूरत में किसी मालूम चीज पर सुलह हुई जाइज़ है। और अगर मालिक ने मुवद्दअ् से वदीअत तलब की मुवद्दअ् वदीअत का इकरार करता है या ख़ामोश है, कुछ नहीं कहता, और मालिक कहता है इसने वदीअत हलाक करदी, और मुवद्दअ् कहता है मैंने वापस देदी, या हलाक होगई इस सूरत में सुलह ना'जाइज़ है। (खानिया)

मसअ्ला.2:– मुस्तईर (आरियत पर लेने वाला) आ़रियत से मुन्किर है कहता है मैंने आरियत ली ही नहीं। इसके बा़द सुलह हुई, जाइज़ है। और अगर आरियत लेने का इकरार करता है और वापस करने, या हलाक होने का दा़वा नहीं करता और मालिक कहता हे कि इसने खुद हलाक करदी। सुलह जाइज़ है। और मुस्तईर कहता है हलाक होगई और मालिक कहता है कि इसने खुद हलाक करदी है तो सुलह जाइज़ नहीं। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.3:– जो चीज़ वदीअ़त रखी है वह बिऐनेही मुवद्दअ् के पास मौजूद है मसलन दो सौ रूपये हैं। अगर मुवद्दअ् इक़रार करता है या इन्कार करता है मगर गवाहों से वदीअत सा़बित है। इन दोनों सूरतों में सौ रूपये पर सुलह ना'जाइज है और अगर मुवद्दअ् मुन्किर हो और गवाह से वदीअ़त सा़बित न हो तो कम पर सुलह जाइज़ है मगर मुवद्दअ् के लिये, यह रकम जो बची है। दयानतन जाइज़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– एक शख़्स के पास दूसरे की कुछ चीजें हैं उसने उनको किसी के पास वदीअत रख दिया, फिर उससे लेकर किसी और के पास वदीअत रख दिया, उससे भी वह चीजें लेलीं। अब तलाश करता है तो उनमें से एक चीज़ नहीं मिलती उन दोनों से कहा, कि फुलां चीज तुम्हारे यहाँ से ज़ाइअ् होगई। मैं यह नहीं कह सकता, कि किस के यहाँ से गई वह दोनों कहते हैं हमने ग़ौर से देखा भी नहीं कि क्या क्या चीज़ें हैं तुमने जो कुछ दिया, बर्तन समीत हमने ब'हिफ़ाज़त रख दिया और तुमने जब मांगा देदिया। यह शख़्स जिसने दूसरे के पास वदीअ़त रखी है ज़ामिन है। मालिक को तावान दे इसमें और दोनों मुवद्दअ् में सुलह जाइज़ है। फिर अगर मालिक के तावान लेने के बा़द सुलह हुई, या कम पर बहर हा़ल जाइज़ है। और अगर तावान लेने से पहले सुलह हुई और मिस्ल क़ीमत या कुछ कम पर, जिसको ग़बने यसीर कहते हैं सुलह हुई, यह सुलह जाइज़ है और यह दोनों ज़मान से बरी हैं या़नी अगर मालिक ने गवाहों से इस गुमशुदा शय को साबित कर दिया तो इन दोनों से कुछ नहीं ले सकता और अगर ग़बने फ़ाहि़श पर मुसालहत हुई तो सुलह ना'जाइज़ है और मालिक को इख़्तियार है कि उस पहले शख़्स से तावान ले या उन दोनों से, उनसे अगर लेगा तो यह पहले से उस चीज़ को वापस ले सकते हैं जो उन्होंने मुसा़लहत में दी है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– दावा किया, कि यह चीज़ मेरी है। मुद्दा'अलैह ने कहा, यह चीज़ मेरे पास फुलां की अमानत है। इसके बा़द दोनों में मुसा़लहत होगई। मुद्दई के सुबूत गुज़रने के बा़द सुलह हुई। उसके पहले बहर हा़ल यह सुलह जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– जानवर आ़रियत पर लिया था वह हलाक होगया, मालिक कहता है मैंने आ़रियत पर नहीं दिया था। मुस्तईर ने कुछ माल देकर सुलह करली, यह जाइज़ है। इसके बाद मुस्तईर अगर

गवाहों से आरियत साबित करे, और यह कहे, कि जानवर हलाक होगया, सुलह बातिल होजायेगी। और मुस्तईर चाहे, तो मालिक पर हलफ़ भी दे सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– मुज़ारिब ने मुज़ारबत से इन्कार करने के बाद, इक़रार कर लिया या इक़रार के बाद इन्कार किया, इसके बाद इसमें रब्बुल'माल (मुज़ारबत पर माल देने वाला) में सुलह होगई यह जाइज़ है और अगर मुज़ारिब ने माले मुज़ारबत से किसी के साथ अक़्द मदायना (उधार के साथ खरीद व फरोख्त) किया था और मुज़ारिब व मद्यून में सुलह होगई यह सुलह जाइज़ है मगर इस सुलह में जो कुछ कमी हुई है इतने का रब्बुल'माल के लिये मुज़ारिब तावान दे और अगर कम पर सुलह इस लिये की है कि मबीअ् में कुछ ऐब था तो मुज़ारिब ज़ामिन नहीं बल्कि यह कमी रब्बुल'माल के ज़िम्मे होगी(आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– यह दावा किया कि यह चीज़ मुझे हिबा करदी है और मैंने क़ब्ज़ा भी कर लिया और वह चीज़ वाहिब (हिबा करने वाला) के क़ब्ज़े में है और वाहिब हिबा से मुन्किर है यूँ मुसालहत हुई कि उस चीज़ में से निस्फ़ वाहिब ले, और निस्फ़ मौहूब'लहू, (जिसे हिबा किया गया) यह सुलह जाइज़ है। इसके बाद मौहूब'लहू हिबा और क़ब्ज़ा को गवाहों से साबित करना चाहे, गवाह मक़बूल नहीं यानी निस्फ़ जो मुद्दा'अलैह के क़ब्ज़े में है मुद्दई उसे नहीं ले सकता और अगर सुलह में एक ने कुछ रूपये देने की भी शर्त करली है यानी वह चीज़ भी आधी देगा और इतने रूपये भी यह सुलह भी जाइज़ है और अगर यूँ सुलह हुई कि चीज़ पूरी फुलां शख़्स लेगा और वह दूसरे को इतने रूपये देगा यह भी जाइज़ है और अगर मौहूब'लहू ने हिबा का दावा किया, और यह इक़रार भी कर लिया, कि क़ब्ज़ा नहीं किया था और वाहिब हिबा से इन्कार करता है उसके बाद सुलह हुई कि चीज़ दोनों में निस्फ़–निस्फ़ होजाये यह सुलह बातिल है और इस सूरत में मौहुब'लहू के ज़िम्मे कुछ रूपये भी हैं तो जाइज़ है और वाहिब के ज़िम्मे रूपये ठहरे हों तो सुलह ना'जाइज़ है और अगर यूँ सुलह हुई कि पूरी चीज़ एक को दीजाये और यह दूसरे को इतने रूपये दे। अगर वाहिब के ज़िम्मे रूपये क़रार पाये सुलह बातिल है और मौहूब' लहू के ज़िम्मे हो तो बातिल नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– एक शख़्स के पास मकान है वह कहता है कि ज़ैद ने मुझे यह मकान सदक़ा कर दिया है और मैंने क़ब्ज़ा किया, और ज़ैद कहता है मैंने हिबा किया है और मैं वापस लेना चाहता हूँ दोनों में सुलह होगई कि वह शख़्स ज़ैद को सौ रूपये दे, और मकान उसी के पास रहे, यह सुलह जाइज़ है और अब मकान वापस नहीं ले सकता सुलह के बाद वह शख़्स जिसके क़ब्ज़े में मकान है अगर हिबा का इक़रार करे, या सुलह से पहले ज़ैद ने हिबा व सदक़ा दोनों से इन्कार किया हो जब भी सुलह ब'दस्तूर क़ायम रहेगी और अगर यूँ सुलह हुई कि जिसके पास मकान है वह ज़ैद को सौ रूपये दे, और मकान दोनों के माबैन निस्फ़ निस्फ़ रहे, यह सुलह भी जाइज़ है और शुयूअ् (हिस्सों) की वजह से सुलह बातिल नहीं होगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– एक शख़्स को मोअय्यन गेहूँ पर अजीर (नौकर) रखा, यानी वह गेहूँ उजरत में दिये जायेंगे इसके बाद यूँ सुलह हुई कि गेहूँ की जगह इतने रूपये दिये जायेंगे यह सुलह ना'जाइज़ है कि जब गेहूँ मोअय्यन थे तो मबीअ् हुए, मबीअ् की बैअ् क़ब्ले क़ब्ज़ा ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– किराये पर मकान लिया, और मुद्दत के मुताल्लिक़ इख़्तिलाफ़ है। मालिक मकान कहता है कि दस रूपये किराये पर दो महीने को दिया है और किरायेदार कहता है कि दस रूपये में तीन माह के लिये दिया है सुलह यूँ हुई कि दस रूपये में ढाई माह किरायेदार मकान में रहे यह जाइज़ है और अगर यूँ सुलह हुई कि तीन माह मकान में रहे मगर एक रूपया उजरत में ज़्यादा करदे यह भी जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– किसी जगह जाने के लिये घोड़ा किराये पर लिया, और उजरत भी मुक़र्रर हो चुकी, घोड़े का मालिक कहता है कि फुलां जगह जाने की दस रूपये उजरत ठहरी है और मुस्ताजिर कहता है दूसरी जगह जाना ठहरा है जो इस जगह से दूर है और उजरत आठ रूपये तय होना

कहता है इसमें सुलह यूँ हुई, कि उजरत वह दीजाये जो घोडे वाला कहता है और वहाँ तक सवार होकर जायेगा जहाँ तक मुस्ताजिर बताता है यह जाइज है। यूंही अगर जगह वह रही, जो मालिक कहता है और किराया वह रहा, जो मुस्ताजिर कहता है यह सुलह भी जाइज है। (आलमगीरी)

मसअला.13:– यह कहता है कि जैद के पास जो फ़ुलां चीज है मसलन मकान, वह मेरा है जैद के मेरे जिम्मे सौ रूपये थे वह मैंने उसके पास रहन रख दिया है। जैद कहता है कि वह मकान मेरा है मेरे पास किसी ने रहन नहीं रखा है और मेरे सौ रूपये तुम पर बाकी हैं। इस मुआमला में यूँ सुलह हुई कि जैद वह सौ रूपये छोडदे, और पचास और दे और मकान के मुताल्लिक अब दूसरा शख्स दावा न करेगा यह सुलह जाइज है। अगर सुलह के बाद जैद ने रहन का इकरार कर लिया, जब भी सुलह बातिल नहीं होगी। (आलमगीरी)

मसअला.14:– राहिन (गिरवी रखने वाला) मरगया, एक शख्स कहता है कि शय मरहून (गिरवी रखी हुई चीज) मेरी मिल्क है। राहिन को रहन रखने के लिये बतौर आरियत दी थी इसमें और मुरतहिन (जिस के पास चीज गिरवी रखी गई) में सुलह होगई कि मुरतहिन इसकी मिल्क का इकरार करे। राहिन के वुरसा के मुकाबिल में मुरतहिन का इक़रार कोई चीज़ नहीं। (आलमगीरी)

ग़सब व सर्क़ा व इकराह में सुलह

मसअला.1:– एक चीज़ ग़सब की जिसकी क़ीमत सौ रूपये है और सौ रूपये से ज़्यादा में सुलह हुई यह सुलह जाइज़ है यानी अगर सुलह के बाद ग़ासिब ने गवाहों से साबित किया कि वह चीज़ इतने की नहीं थी जिस पर सुलह हुई यह गवाह मक़बूल नहीं होंगे। (आलमगीरी)

मसअला.2:– ग़सब का दावा हुआ क़ाज़ी ने हुक्म देदिया कि मग़सूब की क़ीमत(ग़सब की हुई चीज की क़ीमत) ग़ासिब अदा करे। इस फ़ैसले के बाद क़ीमत से ज़्यादा पर सुलह हुई यह ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअला.3:– कपड़ा ग़सब किया था ग़ासिब के पास किसी दूसरे ने उसको हलाक कर दिया, मालिक ने ग़ासिब से कम क़ीमत पर सुलह करली यह जाइज़ है और ग़ासिब इस हलाक करने वाले से पूरी क़ीमत वसूल कर सकता है मगर सुलह की रक़म से जितना ज़्यादा लिया है वह सदका करदे और अगर मालिक ने इस हलाक करने वाले से कम क़ीमत पर सुलह करली यह भी जाइज़ है। इस सूरत में ग़ासिब बरी होजायेगा यानी मालिक उससे तावान नहीं लेसकता। बल्कि किसी वजह से अगर हलाक कुनन्दा से सुलह की रक़म वसूल न होसके जब भी ग़ासिब से कुछ नहीं ले सकता। (आलमगीरी)

मसअला.4:– गेहूँ ग़सब किये थे और सुलह रूपये या अशर्फ़ी पर हुई यह सुलह जाइज़ है। अगर ग़ासिब के पास वह गेहूँ मौजूद हों और रूपये या अशर्फ़ियाँ फ़ौरन देना क़रार पाया हो या उनके देने की कोई मीआद हो दोनों सूरतों में सुलह जाइज़ है और अगर गेहूँ हलाक होचुके, और रूपये के लिये कोई मीआद मुक़र्रर हुई तो सुलह ना'जाइज़ है ओर फ़ौरन देना ठहरा है तो जाइज़ है जबकि क़ब्ज़ा भी होजाये और क़ब्ज़ा से पहले दोनों जुदा होगये सुलह बातिल होगई। (आलमगीरी)

मसअला.5:– एक मन गेहूँ और एक मन जौ ग़सब किये और दोनों को ख़र्च कर डाला, इसके बाद एक मन जौ पर सुलह हुई। इस तौर पर कि गेहूँ मुआफ़ करदे, यह जाइज़ है और इन दोनों में एक मौजूद है और उसी पर सुलह हुई यूं कि जो ख़र्च कर डाला है उसे मुआफ़ कर दिया यह भी जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअला.6:– एक मन गेहूँ ग़सब करके ग़ायब कर दिये और उन्हीं गेहुँओं के निस्फ़ मन पर सुलह की, यह ना'जाइज़ है। और दूसरे गेहुँओं के निस्फ़ मन पर सुलह हुई यह सुलह जाइज़ है मगर ग़ासिब के पास, अगर ग़सब किये हुए, गेहूँ अब तक मौजूद हैं तो निस्फ़ मन से जितने ज़्यादा हैं। उनको सर्फ़ (इस्तेमाल) करना हलाल नहीं बल्कि वाजिब है कि मालिक को वापस देदे और अगर दूसरी जिन्स पर सुलह हुई मसलन कपड़े का थान मालिक को देदिया, यह सुलह भी जाइज़ है। और गेहूँ को काम में लाना भी जाइज़। और अगर ऐसी चीज़ ग़सब की है जो तक़सीम के क़ाबिल नहीं मसलन जानवर और सुलह उसी के निस्फ़ पर हुई यानी उस जानवर में निस्फ़ ग़ासिब का हो और

निस्फ़ मग़सूब मिन्हु (जिस की चीज गसब की गई) का क़रार पाया, यह सुलह़ ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)
मसअ्ला.7:– एक हज़ार रूपये ग़सब किये, और उनको छुपा दिया, और पाँच सौ में सुलह़ हुई ग़ासिब ने उन्हीं में से पाँच सौ मालिक को देदिये या दूसरे रूपये दिये, क़ज़ाअ्न यह सुलह़ जाइज़ है मगर दयानतन ग़ासिब पर वाजिब है कि बाक़ी रूपये भी मालिक को वापस दे। (ख़ानिया)
मसअ्ला.8:– एक शख़्स ने दूसरे का चांदी का बर्तन ज़ाइअ् कर दिया, क़ाज़ी ने हुक्म दिया उसकी क़ीमत तावान दे मगर क़ीमत पर क़ब्ज़ा करने से पहले दोनों जुदा होगये वह फ़ैसला बातिल न होगा। और बा'हम उन दोनों ने क़ीमत पर मुसालह़त की और क़ब्ज़े सें क़ब्ल जुदा होगये यह सुलह़ भी बातिल नहीं और अगर रूपये ज़ाइअ् कर दिये, और उससे कम पर मुसालह़त हुई और अदा करने की मीआ़द मुक़र्रर हुई यह सुलह़ भी जाइज़ है। (ख़ानिया)
मसअ्ला.9:– मोची की दुकान पर लोगों के जूते रखे थे, चोरी होगये, चोर का पता चलगया। मोची ने चोर से सुलह़ करली। अगर जूते मौजूद हों बिग़ैर इजाज़त मालिक सुलह़ जाइज़ नहीं। और चोर के पास जूते बाक़ी न रहे, तो बिग़ैर इजाज़ते मालिक भी सुलह़ जाइज़ है ब'शर्ते कि रूपये पर सुलह़ हुई हो और ज़्यादा कमी पर सुलह़ न हो। (आलमगीरी)
मसअ्ला.10:– सुलह़ करने पर मजबूर किया गया, यह सुलह़ ना'जाइज़ है। दो मुद्दई हैं ह़ाकिम ने मुद्दा'अ़लैह को एक से सुलह़ करने पर मजबूर किया, उसने दोनों से सुलह़ करली जिसके लिये मजबूर किया गया उससे सुलह़ ना'जाइज़ है, दूसरे से सुलह़ जाइज़ है। (आलमगीरी)

काम करने वालों से सुलह़

मसअ्ला.1:– धोबी को कपड़ा धोने के लिये दिया, उसने ज़ोर ज़ोर से पाटे पर पीट कर फाड़ डाला। और सुलह़ यूँ हुई कि धोबी कपड़ा लेले और इतने रूपये दे, या यूँ कि धोबी से इतने रूपये लेगा और अपना कपड़ा भी लेगा दोनों सूरतें जाइज़ हैं। अगर मकील (नापकर) या मौज़ून (तोल) पर सुलह़ हुई और यह मोअ़य्यन है जब भी सुलह़ जाइज़ है, कपड़ा धोबी लेगा या मालिक लेगा दोनों सूरतें जाइज़ हैं। और अगर मकील व मौज़ून ग़ैर मोअ़य्यन हों और यह त़य हुआ कि कपड़ा धोबी लेगा तो मकील व मौज़ून का जितना ह़िस्सा कपड़े के मुक़ाबिल होगा उसमें सुलह़ जाइज़ है और जो ह़िस्सा कपड़ा फटने की क़ीमत के मुक़ाबिल हो उसमें ना'जाइज़, और अगर यह तय हुआ कि मकील या मौज़ून भी लेगा और अपना कपड़ा भी, तो सुलह़ ना'जाइज़ है। (आ़लमगीरी)
मसअ्ला.2:– धोबी कहता है मैंने कपड़ा दे दिया, मालिक कहता है नहीं दिया, इसमें सुलह़ ना'जाइज़ है। और इस सूरत में धुलाइ भी मालिक के ज़िम्मे वाजिब नहीं। और अगर धोबी कहता है मैंने कपड़ा देदिया, और धुलाइ का मुतालबा करता है और मालिक इन्कार करता है आधी धुलाई पर मुसालह़त हुई यह जाइज़ है। यूंही अगर मालिक कपड़ा वसूल होने का इक़रार करता है मगर कहता है धुलाई दे चुका हूँ और धोबी धुलाई पाने से इन्कार करता है आधी धुलाई पर मुसालह़त होगई यह सुलह़ भी जाइज़ है। (आलमगीरी)
मसअ्ला.3:– अजीरे मुश्तरक (उजरत पर मुख़्तलिफ़ लोगों का काम करने वाला) यह कहता है चीज़ मेरे पास से हलाक होगई। मालिक ने कुछ रूपये लेकर सुलह़ करली। इमामे आ़ज़म रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के नज़्दीक यह सुलह़ ना'जाइज़ है क्योंकि अजीरे मुश्तरक अमीन है चीज़ उसके पास अमानत होती है और अमीन के पास से चीज़ ज़ाइअ् होजाये तो मुआवज़ा नहीं लिया जा सकता ओर अजीरे ख़ास (नौकर) में यह पेश आये तो बिल'इत्तिफ़ाक़ सुलह़ ना'जाइज़ है। चरवाहा अगर दूसरे लोगों के भी जानवर चराता हो तो अजीरे मुश्तरक है और तन्हा उसी के जानवर चराता हो तो अजीरे ख़ास (नौकर) है। (आलमगीरी)
मसअ्ला.4:– कपड़ा बुनने वाले को सूत दिया कि इसका सात हाथ लम्बा और चार हाथ चौड़ा कपड़ा बुनदे उसने कम कर दिया, पाँच हाथ लम्बा, चार हाथ चौड़ा, बुन दिया, या ज़्यादा कर दिया। इसका हुक्म यह है कि सूत वाला कपड़ा लेले और उसको उजरते मिस्ल देदे, या कपड़ा उसी को देदे, और जितना

सूत दिया था वैसा ही उतना सूत उससे लेले। सूत वाले ने दूसरी सूरत इख़्तियार की, यानी कपड़ा देदिया और सूत लेना ठहरा लिया, उसके बदले यूँ मुसालहत करली कि सूत की जगह इतने रूपये लेगा और रूपये की मीआ़द मुक़र्रर करली, यह सुलह़ ना'जाइज़ है। और अगर पहली सूरत इख़्तियार की कि कपड़ा लेगा और उजरते मिस्ल देगा उसके बा़द यूँ सुलह हुई कि कपड़ा देदिया और रूपये लेना ठहरा लिया और उसकी मुद्दत मुक़र्रर करली, यह सुलह़ जाइज़ है।(ख़ानिया) और अगर सुलह़ इस तरह हुई कि कपड़ा लेगा और उजरत में इतना कम कर देगा यह सुलह भी जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– रंगने के लिये कपड़ा दिया और यह ठहरा, कि इतना रंग डालना और एक रूपया रंगाई दी जायेगी, उसने दो चन्द रंग ज़्यादा डाल दिया, उसमें कपड़े वाले को इख़्तियार है कि अपना कपड़ा लेले और एक रूपया दे और जो रंग ज़्यादा डाला है वह दे या अपने सफ़ेद कपड़े की क़ीमत लेले और कपड़ा रंगरेज़ के पास छोड़दे इसमें सुलह़ यूँ हुई कि इतने रूपये लेगा, यह सुलह़ जाइज़ है अगरचे रूपये के लिये मीआ़द हो। अगर यूँ सुलह हुई कि अपना कपड़ा लेगा और यह मोअ़य्यन गेहूँ रंगाई में देगा यह सुलह भी जाइज़ है। (आलमगीरी)

बैअ् में सुलह़

मसअ्ला.1:– एक चीज़ ख़रीदी, उसपर या उसके जुज़ पर किसी ने दा़वा कर दिया कि मेरी है मुश्तरी ने उससे सुलह़ करली यह सुलह़ जाइज़ है मगर मुश्तरी यह चाहे कि जो कुछ देना पड़ा है बाइअ् से वापस लूं यह नहीं हो सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– एक चीज़ ख़रीदी, और मबीअ् पर क़ब्ज़ा भी कर लिया, अब दा़वा करता है कि वह बैअ् फ़ासिद हुई थी मगर गवाह मयस्सर नहीं हुए कि फ़साद सा़बित करता। दावा–ए–फ़साद के मुता़ल्लिक़ दोनों में सुलह़ होगई यह सुलह़ ना'जाइज़ है। सुलह़ के बा़द अगर गवाह मयस्सर आयें पेश कर सकता है गवाह लिये जायेंगे। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.3:– रब्बुस्सलम (बैअ् सलम में ख़रीदार को रब्बुस्सलम कहते हैं (अमीनुल क़ादरी))ने मुसल्लम इलैह (बैअ् सलम में बाइअ् को कहते हैं) से रासुल माल (बैअ् सलम में समन को कहते हैं) पर सुलह़ करली, जाइज़ है और दूसरी जिन्स पर सुलह़ करे मस्लन इतने मन गेहूँ की जगह इतने मन जौ देदे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– मुसल्लम इलैह के ज़िम्मे सलम के दस मन गेहूँ हैं, और हज़ार रूपये भी, रब्बुस्सलम के इसके ज़िम्मे हैं दोनों के मुक़ाबिल में सौ रूपये पर सुलह होगई, जाइज़ है। (बदाइअ)

मसअ्ला.5:– सलम में यूँ सुलह़ हुई कि निस्फ़ रासुल'माल लेगा, और निस्फ़ मुसलम फ़ीह यह जाइज़ है। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.6:– पाँच मन गेहूँ में सलम किया था जिसकी मीआ़द एक माह थी फिर उसी शख़्स से पाँच मन जौ में सलम की. और उसकी दो माह मुक़र्रर हुई। एक माह का ज़माना गुज़रा और गेहूँ की वसूली का वक़्त आगया, दोनों में मुसा़लहत हुई कि रब्बुस्सलम गेहूँ इस वक़्त ले ले और जौ की मीआ़द में इज़ाफ़ा होजाये, यह जाइज़ है और अगर यूँ सुलह़ हुई कि जौ इस वक़्त लेले और गेहूँ की मीआ़द मुअख़्ख़र होजाये यह ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– कपड़े के एवज़ में गेहूँ में सलम किया, और मुसल्लम इलैह को वह कपड़ा देदिया फिर मुसल्लम इलैह ने उसी कपड़े से किसी दूसरे शख़्स से सलम किया, रब्बुस्सलम अव्वल ने मुसल्लम इलैह अव्वल से रासुल'माल पर मुसा़लहत की उसकी दो सूरतें हैं अगर मुसल्लम इलैह अव्वल के के पास वह कपड़ा आगया उसके बा़द सुलह़ हुई और इस तौ़र पर आया, जो मिन कुल्लिल वुजूह फ़स्ख़ (यानी हर सूरत में फ़स्ख़ है) है। मस्लन मुसल्लम इलैह सा़नी ने ख़्यारे रूयत की वजह से वापस कर दिया, या ख़्यारे ऐब की वजह से, हुक्मे क़ाज़ी से वापस किया, या दूसरी सलम में रासुल'माल पर क़ब्ज़ा से पहले दोनों जुदा होगये इसका हुक्म यह है कि मुसल्लम'इलैह रब्बुस्सलम को वही कपड़ा वापस करदे कपड़े की क़ीमत वापस देने का हुक्म नहीं होसकता। यूँही अगर मुसल्लम'इलैहि

ने वह कपड़ा किसी को हिबा कर दिया था फिर वापस लेलिया, क़ाज़ी के हुक्म से वापस लिया है या बिग़ैर क़ज़ा–ए–क़ाज़ी (क़ाज़ी के फ़ैसले के बिग़ैर) इस सूरत में भी रब्बुस्सलम को कपड़ा वापस करदे। और अगर वह कपड़ा मुसल्लम'इलैह अव्वल को ऐसी वजह से हासिल हुआ कि मिन कुल्लिल वजह मिल्के जदीद (नई मिल्कियत) हो मस्लन उसने मुसल्लम इलैह सानी से ख़रीद लिया या उसने उसे हिबा कर दिया या बतौर मीरास् उसको मिला, इन सूरतों में रब्बुस्सलम अव्वल को कपड़े की क़ीमत मिलेगी वह कपड़ा नहीं मिलेगा और अगर इस तरह वापस हुआ कि एक वजह से फ़स्ख़, और एक वजह से तम्लीक (मालिक बनाना) है। मस्लन दोनों ने सलम सानी का इक़ाला कर लिया, या ऐब की वजह से बिग़ैर क़ाज़ी के फ़ैसले के वापस लेलिया तो रब्बुस्सलम का हक़ कपड़े की क़ीमत है ख़ुद वह कपड़ा नहीं है और अगर मुसल्लम इलैह अव्वल के पास कपड़ा आने से क़ब्ल दोनों ने रासुल'माल पर सुलह की और क़ाज़ी ने मुसल्लम इलैह अव्वल को क़ीमत अदा करने का हुक्म दे दिया इसके बाद उसके पास वही कपड़ा आगया तो यह दोनों क़ीमत की जगह पर कपड़ा वापस करने पर मुसालहत नहीं कर सकते। मुसल्लम इलैह के पास उसकी वापसी जिस सूरत से भी हो मगर सिर्फ़ इस सूरत में कि ऐब की वजह से ब'हुक्मे क़ाज़ी वापस हुआ हो और अगर क़ाज़ी ने क़ीमत वापस देने का हुक्म अभी नहीं दिया है कि वही कपड़ा मुसल्ल्म'इलैह के पास इस तरह आया कि वह हर वजह से सलम सानी का फ़स्ख़ है तो रब्बुस्सलम को कपड़ा देगा वरना क़ीमत।(आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– दो शख़्सों ने मिलकर, तीसरे से सलम किया था उनमें से एक ने अपने हिस्से में रासुल'माल पर सुलह करली यह सुलह शरीक की इजाज़त पर मौक़ूफ़ है उसने अगर रद् करदी। सुलह बातिल होगई और अगर ब'दस्तूर बाक़ी रही, और शरीक ने जाइज़ करदी, तो सुलह दोनों पर नाफ़िज़ होगी यानी निस्फ़ रासुल'माल में दोनों शरीक होंगे और निस्फ़ मुसल्लम फ़ीह (बैअ् सलम में बेची जाने वाली चीज़ को मुसल्लम फ़ीह कहतें हैं (अमीनुल कादरी)) में भी दोनों की शिरकत होगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– एक शख़्स से सलम किया, मुसल्लम इलैह की तरफ़ से किसी ने किफ़ालत की, कफ़ील ने रब्बुस्सलम से रासुल'माल पर सुलह करली यह सुलह इजाज़ते मुसल्लम इलैह पर मौक़ूफ़ है जाइज़ करदी, जाइज़ है, रद् करदी बातिल है। अगर कफ़ील ने बिग़ैर हुक्मे मुसल्लम'इलैह किफ़ालत की है जब भी यही हुक्म है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– कफ़ील ने रब्बुस्सलम से जिन्से मुसल्लम फ़ीह पर मुसालहत की, मगर सलम में उम्दा गेहूँ क़रार पाये और उसने कम दर्जे का देना ठहरा लिया, यह सुलह जाइज़ है और कफ़ील मुसल्लम इलैह से खरे गेहूँ लेगा। (ख़ानिया)

मसअ्ला.11:– एक शख़्स ने दूसरे को सलम करने का हुक्म दिया था (वकील बनाया था) उसने सलम किया, फिर रासुल'माल पर सुलह करली, यह सुलह उस वकील पर नाफ़िज़ होगी। मुवक्किल पर नाफ़िज़ नहीं होगी यानी वकील इस मुसल्लम इलैह से रासुल'माल ले सकता है और अगर ख़ुद मुवक्किल ने मुसल्लम इलैह से सुलह करली, और रासुल'माल पर क़ब्ज़ा कर लिया तो सुलह जाइज़ है यानी वकील भी मुसल्लम फ़ीह का मुतालबा नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

सुलह में ख़्यार

मसअ्ला.1:– एक चीज़ का दावा है और दूसरी जिन्स पर सुलह हुई यह सुलह बैअ् के हुक्म में है। इसमें ख़्यारे शर्त सही है मस्लन सौ रूपये का दावा था और गुलाम या जानवर पर सुलह हुई और मुद्दा'अलैह ने अपने लिये या मुद्दई के लिये तीन दिन का ख़्यारे शर्त रखा सुलह भी जाइज है और ख़्यारे श़र्त भी मुद्दा'अलैह दावा का इक़रार करता हो या इन्कार दोनों का एक ही हुक्म है(आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– एक हज़ार का दावा था। गुलाम पर सुलह हुई। यूँ कि मुद्दई एक माह के अन्दर दस अशर्फ़ियाँ मुद्दा अलैह को देगा और इसमें ख़्यारे शर्त भी है। अगर अक़्द वाजिब होगया, यानी ख़्यारे शर्त की वजह से फ़स्ख़ नहीं किया, तो मुद्दा'अलैह हज़ार से बरी होगया ओर मुद्दई के

जिम्मे उसकी दस अशर्फ़ियाँ वाजिब होगईं और उनकी मीआद यौमे वुजूबे अक्द से (यानी अक्द वाजिब होने के दिन से) एक माह तक है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– एक शख़्स के दूसरे के ज़िम्मे दस रूपये हैं और कपड़े के थान पर ख़्यारे शर्त के साथ सुलह हुई और थान मुद्दई को देदिया मगर तीन दिन पूरे होने से पहले ही थान ज़ाइअ् होगया, मुद्दई थान की क़ीमत कर ज़ामिन है और मुद्दा'अ़लैह के ज़िम्मे वही दस रूपये ब'दस्तूर वाजिब हैं और अगर ख़्यार मुद्दई के लिये था और अन्दुरूने मुद्दत मुद्दई के पास से ज़ाइअ् हो गया तो दस रूपये के बदले में ज़ाइअ् हुआ यानी अब कोई दूसरे से किसी चीज़ का मुतालबा नहीं कर सकता। और अगर अन्दुरूने मुद्दत जिसके लिये ख़्यार था वही मरगया तो सुलह तमाम हो गई। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– दैन के बदले में गुलाम पर ब'शर्ते ख़्यार मुसालहत हुई और ख़्यार की मुद्दत तीन दिन क़रार पाई। मुद्दत पूरी होने के बाद, साहिबे ख़्यार कहता हे मैंने अन्दुरूने मुद्दत फ़स्ख़ कर दिया था और दूसरा मुन्किर है तो फ़स्ख़ को गवाहों से साबित करना होगा और अगर उसने फ़स्ख़ के गवाह पेश किये दूसरे ने इसके गवाह पेश किये, कि इसने अक़्द को नाफ़िज़ कर दिया है तो फ़स्ख़ के गवाह मोअ्तबर हैं। और अगर अन्दुरूने मुद्दत यह इख़्तिलाफ़ हुआ तो साहिबे ख़्यार का क़ौल मोअ्तबर है और दूसरे के गवाह। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– दो शख़्सों का एक पर दैन है। मद्यून (मक़रूज़) ने दो गुलाम पर दोनों से मुसालहत की और दोनों के लिये ख़्यारे शर्त रखा इनमें से एक सुलह पर राज़ी है और दूसरा फ़स्ख़ करना चाहता है यह नहीं हो सकता फ़स्ख़ करना चाहें तो दोनों मिलकर फ़स्ख़ करें। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– मुद्दा अलैह ने दावे से इन्कार किया, उसके बाद ख़्यारे शर्त के साथ सुलह की फिर ब'मुक़तज़ा–ए–ख़्यार अक़्द को फ़स्ख़ कर दिया(इख़्तियार की वजह से अक्दे बैअ् को ख़त्म कर दिया)तो मुद्दई का दावा ब'दस्तूर लौट आयेगा और मुद्दा'अ़लैह का सुलह करना इक़रार नहीं मुतसव्वर होगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– जिस चीज़ पर सुलह हुई उसको मुद्दई ने नहीं देखा है, देखने के बाद उसको ख़्यार हासिल है। पसन्द नहीं है वापस करदे और सुलह जाती रही, जिस पर सुलह हुई उसको मुद्दई ने देखा मगर मुद्दई पर किसी दूसरे ने दावा किया उसी चीज़ पर उसने इस दूसरे से सुलह करली उसने देखकर वापस करदी अब मुद्दई इस चीज़ को मुद्दा'अ़लैह पर वापस नहीं कर सकता और अगर ख़्यारे ऐब की वजह से दूसरा शख़्स हुक्मे क़ाज़ी से वापस करता, तो मुद्दई मुद्दा'अ़लैह को वापस कर सकता था। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– मुद्दई के लिये सुलह में ख़्यारे ऐब उस वक़्त होता है जब माल का दावा हो और उसका वही हुक्म है जो मबीअ् का है कि अगर हुक्मे क़ाज़ी से फ़स्ख़ हो तो सुलह फ़स्ख़ होगी और मुद्दा'अ़लैह उस चीज़ को अपने बाइअ् पर वापस कर सकता है। और बिग़ैर हुक्मे क़ाज़ी हो, तो बाइअ् रद् नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– जिस पर मुसालहत हुई उसमें ऐब पाया मगर चूंकि चीज़ हलाक होचुकी है इस वजह से वापस नहीं कर सकता तो बक़द्रे ऐब मुद्दा'अ़लैह पर रुजूअ् करेगा। अगर यह सुलह इक़रार के बाद है तो ऐब का जितना हिस्सा उसके हक़ के मुक़ाबिल हो, उतना मुद्दा'अ़लैह से वसूल कर सकता है और इन्कार के बाद सुलह हुई तो हिस्सा–ए–ऐब के मुक़ाबिल में जो कमी हुई उसका दावा कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– मकान का दावा था गुलाम देकर मुद्दा'अ़लैह ने सुलह करली इस गुलाम में किसी ने अपना हक़ साबित किया। अगर मुस्तहिक़ सुलह को जाइज़ न रखे, तो मुद्दई इस मुद्दा'अ़लैह पर फिर दावा कर सकता है और अगर मुस्तहिक़ ने सुलह को जाइज़ कर दिया तो गुलाम मुद्दई का है और मुस्तहिक़ बक़द्रे क़ीमत गुलाम मुद्दई से वसूल कर सकता है और अगर निस्फ़ गुलाम में मुस्तहिक़ ने अपनी मिल्क साबित की है तो मुद्दई को इख़्तियार है। निस्फ़ गुलाम जो बाक़ी है यह ले और निस्फ़ हक़

का मुद्दा अलैह पर दावा करे या निस्फ़ भी वापस व रदे और पूरे मुतालबे का दावा करे। (आलमगीरी)
मसअ्ला.11:– रूपये से एक चीज ख़रीदी, और तक़ाबुजे बदलैन (खरीदार का माल पर और बेचने वाले का कीमत पर कब्जा होना) होगया इसके बाद मुश्तरी ने मबीअ् में ऐब पाया। बाइअ् ऐब का इक़रार करता हो या इन्कार इस मुआमले में अगर रूपये पर सुलह होगई यह जाइज़ है। रूपये के लिये मीआद मुक़र्रर हुई या फ़ौरन देना क़रार पाया बहर हाल जाइज़ है और अशर्फ़ी पर सुलह हुई और इन पर क़ब्ज़ा भी होगया जाइज़ है। और मोअय्यन कपड़े पर सुलह हुई यह भी जाइज़ है। मोअय्यन गेहूँ पर सुलह हुई यह भी जाइज़ है और ग़ैर मोअय्यन गेहूँ पर सुलह हुई, और क़ब्ज़ा से पहले दोनों जुदा होगये, यह ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)
मसअ्ला.12:– कपड़ा ख़रीदा उसे क़तअ् कराके सिलवाया, अब ऐब पर मुत्तलअ् हुआ, और रूपये पर सुलह हुई, यह जाइज़ है। यूँही अगर कपड़े को सुर्ख़ रंग दिया, और ऐब पर मुत्तलअ् हुआ सुलह जाइज़ है। और अगर कपड़ा क़तअ् कराया है अभी सिला नहीं, और बैअ् कर डाला, फिर ऐब पर मुत्तलअ् हुआ। उस ऐब के बारे में सुलह ना'जाइज़ है। कपड़े को स्याह रंगा उसका भी यही हुक्म है। (आलमगीरी)
मसअ्ला.13:– कपड़ा क़तअ् कर डाला, और अभी सिला नहीं है कि मुश्तरी को ऐब पर इत्तिला हुई और बाइअ् इक़रार करता है कि यह ऐब उसके यहाँ मौजूद था सुलह यूँ हुई कि बाइअ् कपड़ा वापस लेले। और समन में से मुश्तरी दो रूपये कम वापस ले, यह जाइज़ है। यह रूपये उस ऐब के मुक़ाबिल में होंगे जो मुश्तरी के फ़ेअ्ल से पैदा हुआ यानी क़तअ् करने से। (आलमगीरी)
मसअ्ला.14:– एक चीज़ सौ रूपये में ख़रीदी, मुश्तरी ने उसमें ऐब पाया यूँ सुलह हुई कि मुश्तरी चीज़ फेरदे और बाइअ् नव्वे रूपये वापस कर देगा। अगर बाइअ् इक़रार करता है कि वह ऐब उसके यहाँ था या वह ऐब इस क़िस्म का है कि मा'लूम है कि मुश्तरी के यहाँ पैदा नहीं हुआ है तो बाक़ी दस रूपये भी वापस देने होंगे। और अगर बाइअ् कहता है कि यह ऐब मेरे यहाँ नहीं था, या बाइअ् न इक़रार करता है न इन्कार, और मुश्तरी के यहाँ पैदा होसकता है तो बाक़ी रूपये वापस करना लाज़िम नहीं। (आलमगीरी)
मसअ्ला.15:– एक चीज़ सौ रूपये में ख़रीदी, और तक़ाबुज़े बदलैन होगया इसमें ऐब ज़ाहिर हुआ। यूँ मुसालहत हुई कि मुश्तरी भी पाँच रूपये कम करदे और बाइअ् भी, और यह चीज़ तीसरा शख़्स लेले जो नव्वे रूपये में लेने पर राज़ी है इस तीसरे का ख़रीदना भी जाइज़ है और मुश्तरी का पाँच रूपये कम करना भी जाइज़ है मगर बाइअ् का पाँच रूपये कम जाइज़ नहीं लिहाज़ा इस तीसरे शख़्स को इख़्तियार है कि पिच्चानवे में ले या छोड़दे। (आलमगीरी)
मसअ्ला.16:– हज़ार रूपये में चीज़ ख़रीदी, और तक़ाबुज़े बदलैन होगया फिर उस चीज़ को दो हज़ार में बैअ् किया और इस बैअ् में भी तक़ाबुज़े बदलैन होगया। मुश्तरी दोम ने उस चीज़ में ऐब पाया यूँ सुलह हुई कि बाइअ् अव्वल डेढ़ हज़ार में इस चीज़ को वापस लेले यह जाइज़ है और जदीद बैअ् है। बाइअ् दोम से इसको कोई ता'ल्लुक़ नहीं। (आलमगीरी)
मसअ्ला.17:– दस रूपये में कपड़ा ख़रीदा, और तरफ़ैन ने क़ब्ज़ा कर लिया, मुश्तरी इसमें ऐब बताता है और बाइअ् इन्कार करता है। एक तीसरा शख़्स कहता है कि मैं यह कपड़ा आठ रूपये में ख़रीद लेता हूँ और बाइअ् मुश्तरी से एक रूपया कम करदे यह जाइज़ है इस शख़्स को आठ रूपये देने होंगे। (आलमगीरी)
मसअ्ला.18:– दस रूपये में कपड़ा ख़रीदा, और धोबी को देदिया, धोबी धोकर लाया तो फटा हुआ निकला, मुश्तरी कहता है कि मा'लूम नहीं, बाइअ् के यहाँ फटा हुआ था या धोबी ने फाड़ा है उनमें इस तरह सुलह हुई कि बाइअ् समन से एक रूपया कम करदे और एक रूपया धोबी मुश्तरी को दे और अपनी धुलाई मुश्तरी से ले यह जाइज़ है। यूँही अगर सुलह हुई कि कपड़ा बाइअ् वापस ले, यह भी जाइज़ है और मुसालहत न हुई बल्कि दावा करने की नौबत हुई तो मुश्तरी को इख़्तियार है बाइअ् पर दावा करे या धोबी पर, मगर बाइअ् पर दावा करेगा तो धोबी बरी हो जायेगा क्यों कि जब

बाइअ् के यहाँ फटा होना बताया, तो धोबी से ताल्लुक़ न रहा और धोबी पर दावा किया, कि बाइअ् बरी होगया कि जब धोबी का फाड़ना कहा, तो मालूम हुआ, बाइअ् के यहाँ फटा न था (आलमगीरी)

जायदादे गै़र मन्कूला में सुलह

मसअ्ला.1:– एक मकान का दावा किया, और इस तरह सुलह हुई कि मुद्दई यह कमरा लेले अगर वह कमरा दूसरे मकान का है जो मुद्दा अलैह की मिल्क है तो सुलह जाइज़ है और अगर उसी मकान का कमरा है जिसका दावा था जब भी सुलह जाइज़ है। और मुद्दई का यह हक़ हासिल न रहा, कि इस मकान का फिर दावा करे। हाँ अगर मुद्दा अलैह इक़रार करता है कि वह मकान मुद्दई ही का है तो उसे हुक्म दिया जायेगा कि मुद्दई को देदे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– यह दावा किया कि इस मकान में इतने गज़ ज़मीन मेरी है और सुलह हुई कि मुद्दई इतने रूपये लेले। यह जाइज़ है और अगर इस तरह सुलह हुई कि फ़ुलां के पास जो मकान है उसमें मुद्दा अलैह का हक़ है मुद्दई उसे लेले। अगर मुद्दई को मालूम है कि उस मकान में मुद्दा अलैह का इतना हिस्सा है तो सुलह जाइज़ है। और मालूम नहीं है तो ना जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– मकान के मुताल्लिक़ दावा किया, मुद्दा अलैह ने इन्कार कर दिया फिर कुछ देकर मुसालहत करली इसके बाद मुद्दा अलैह ने हक़्क़े मुद्दई का इक़रार किया मुद्दई चाहता है सुलह तोड़दे, और यह कहता है कि मैंने सुलह इस लिये की थी कि तुमने इन्कार किया था मुद्दई के इस कहने से सुलह नहीं तोड़ी जायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– मकान का दावा किया और सुलह इस तरह हुई कि एक शख़्स मकान लेले और दूसरा उसकी छत अगर छत पर कोई इमारत नहीं है तो सुलह जाइज़ नहीं और अगर छत पर इमारत है और यह ठहरा कि एक नीचे का मकान ले और दूसरा बाला ख़ाना ले यह सुलह जाइज़ है (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– मकान में हक़ का दावा किया, और सुलह यूं हुई कि मुद्दई इसके एक कमरे में हमेशा ताज़ीस्त सुकूनत रखे (ज़िन्दगी भर रहे)। यह सुलह जाइज नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– ज़मीन का दावा किया, और सुलह इस तरह हुई कि मुद्दा अलैह (जिसके क़ब्ज़े में ज़मीन है) उसमें पाँच वर्ष तक काश्त करेगा मगर ज़मीन मुद्दई की मिल्क रहेगी यह जाइज है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– एक मकान ख़रीद कर उसको मस्जिद बनाया फिर एक शख़्स ने उसके मुताल्लिक दावा किया, जिसने मस्जिद बनाई, उसने या अहले मोहल्ला ने मुद्दई से सुलह की, यह सुलह जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– दो शख़्सों ने एक मकान का दावा किया कि यह हमको अपने बाप से तर्का में मिला है उनमें से एक ने मुद्दा अ़लैह से अपने हिस्से के मुक़ाबिल में सौ रूपये पर सुलह करली, दूसरा उन सौ में से कुछ नहीं ले सकता जब तक गवाहों से साबित न करदे और अगर एक ने पूरे मकान के मुक़ाबिल सौ रूपये पर सुलह की है और अपने भाई के तस्लीम करने का ज़ामिन होगया है। अगर उसके भाई ने तस्लीम करली, सुलह जाइज़ है और सौ में से पचास ले लेगा और उसने इन्कार कर दिया, तो उसके हक़ में सुलह ना जाइज़ है उसका दावा ब'दस्तूर बाक़ी है और जिसने सुलह की है वह उस सौ में से पचास मुद्दा अ़लैह को वापस दे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– दो शख़्सों के पास दो मकान हैं हर एक ने दूसरे पर उसके मकान में अपने हक़ का दावा किया, और सुलह यूँ हुई कि हर एक के क़ब्ज़े में जो मकान है वह दूसरे को देदे यह भी जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– दरवाज़ा या रौशनदान के बारे में झगड़ा है पड़ोसी को कुछ रूपये देकर सुलह करली, कि दरवाज़ा या रौशनदान बन्द नहीं किया जायेगा यह सुलह ना जाइज़ है। यूंही अगर पड़ोसी ने मालिक मकान को कुछ रूपये देकर सुलह करली, कि तुम दरवाज़ा या रौशन दान बन्द कर लो। यह सुलह भी दुरुस्त नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– एक शख़्स की ज़मीन है जिसमें ज़राअत (खेती) है दूसरे ने ज़राअत का दावा किया, कि यह मेरी है। मालिक ज़मीन ने कुछ रूपये देकर उससे सुलह़ करली, यह जाइज़ है। और ज़मीन दो शख़्सों की है तीसरे ने दावा किया है कि इसमें जो ज़राअत है वह मेरी है और वह दोनों इससे इन्कार करते हैं एक मुद्दा'अ़लैह ने सुलह़ करली, कि मुददई सौ रूपये देदे और निस्फ़ ज़राअत(आधी खेती)मैं मुददई को देदूँगा। अगर ज़राअत तैयार है सुलह़ जाइज़ है और अगर तैयार नहीं है तो बिग़ैर दूसरे मुद्दा'अ़लैह की रज़ा'मन्दी के सुलह़ जाइज़ नहीं और अगर एक मुद्दा'अ़लैह ने सौ रूपये पर यूँ मुसालहत की कि निस्फ़ ज़मीन मय ज़राअत देता हूँ तो बहर हाल जाइज़ है (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– शारेअ् आम (आम रास्ता) पर एक शख़्स ने सायबान (छप्पर,तिरपाल वग़ैरा) डाल लिया है। एक शख़्स ने उसको हटा देने का दावा किया उसने उसे कुछ रूपये देकर सुलह करली कि सायबान न हटाया जाये यह सुलह़ ना'जाइज़। खुद यही शख़्स जिसने दावा किया था, या दूसरा शख़्स उसे हटवा सकता है और अगर हुकूमत हटाना चाहती है और उसने कुछ रूपये देकर चाहा, कि हटाया न जाये और रूपया लेकर बैतुल'माल में दाख़िल करना ही आ़म्मा–ए–मुस्लेमीन (आ़म मुसलमानों) के ह़क़ में मुफ़ीद हो और सायबान से आ़म्मा–ए–मुस्लेमीन को ज़रर न हो तो सुलह़ जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– दरख़्त की शाख़ पड़ोसी के मकान में पहुँचगई, वह काटना चाहता है मालिक दरख़्त ने उसे कुछ रूपये देकर सुलह़ करली, शाख़ न काटी जाये यह सुलह़ ना'जाइज़ है। और अगर मालिक मकान ने मालिक दरख़्त को रूपये देकर सुलह़ करली कि काट डाली जाये यह सुलह़ भी बात़िल है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– एक शख़्स ने दरख़्त का दावा किया कि यह मेरा है मुद्दा'अ़लैह इन्कार करता है सुलह़ यूँ हुई कि इस साल जितने फल आयेंगे सब मुददई को देदिये जायेंगे यह सुलह़ ना'जाइज़ है(आलम)

मसअ्ला.15:– मकान ख़रीदा, शफ़ीअ् ने शुफ़ा का दावा किया, मुश्तरी ने उसे कुछ रूपये देकर मुसालह़त करली कि वह शुफ़ा से दस्त'बर्दार होजाये शुफ़ा बात़िल होगया और मुश्तरी पर वह रूपये लाज़िम नहीं बल्कि अगर मुश्तरी दे चुका है। तो वापस ले सकता है। (ख़ानिया)

यमीन के मुताल्लिक़ सुलह़

मसअ्ला.1:– एक शख़्स ने दूसरे पर दावा किया मुद्दा अ़लैह मुन्किर है। सुलह यूँ हुई कि मुद्दा अ़लैह ह़लफ़ करले बरी हो जायेगा। उसने क़सम खाली, यह सुलह़ बात़िल है या'नी मुददई का दावा ब'दस्तूर बाक़ी रहेगा। अगर गवाहों से मुददई अपना ह़क़ स़ाबित कर देगा वसूल कर लेगा। और अगर मुददई के पास गवाह नहीं हैं और मुद्दा'अ़लैह से क़सम खिलाना चाहता है। अगर पहली मर्तबा क़ाज़ी के पास क़सम नहीं खाई थी तो क़ाज़ी मुद्दा'अ़लैह पर दोबारा ह़ल्फ़ देगा। और अगर पहली क़सम क़ाज़ी के हुज़ूर थी तो दोबारा ह़लफ़ नहीं देगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– इस त़रह़ सुलह़ हुई कि मुददई अपने दावे के स़ही होने पर आज क़सम खायेगा अगर क़सम न खाये तो उसका दावा बात़िल है यह सुलह़ बात़िल है अगर वह दिन गुज़र गया, और क़सम नहीं खाई उसका दावा ब'दस्तूर बाक़ी है। यूंहीं अगर सुलह़ हुई कि मुद्दा'अ़लैह क़सम खायेगा अगर क़सम न खाये, तो माल का ज़ामिन है या माल उसके ज़िम्मे स़ाबित है या माल का इक़रार समझा जायेगा यह सुलह़ भी बात़िल है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– मुददई के पास गवाह नहीं, उसने मुद्दा'अ़लैह से ह़लफ़ का मुत़ालबा किया। क़ाज़ी ने भी ह़लफ़ का हुक्म देदिया मुद्दा'अ़लैह ने मुददई को कुछ रूपये देकर राज़ी कर लिया कि मुझ से क़सम न खिलवाओ यह सुलह़ जाइज़ है मुद्दा'अ़लैह ह़लफ़ से बरी होगया। (आलमगीरी)

दूसरे की त़रफ़ से सुलह़

मसअ्ला.1:– फ़ुज़ूली अगर सुलह़ करे उसका आज़ाद व बालिग़ होना ज़रूरी है या'नी गुलाम माज़ून व ना'बालिग़ बच्चा दुसरे की त़रफ़ से सुलह़ नहीं कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– एक शख़्स ने दैन (कर्ज) का दावा किया और मुद्दा'अलैहि दैन से मुन्किर है। एक अजनबी शख्स ने मुद्दई से कहा, तुमने जो कुछ दावा किया है उसके मुताल्लिक फुलां (मुद्दा'अलैहि) से हजार रूपये में सुलह करलो। मुद्दई ने कहा, मैंने सुलह की, यह सुलह मुद्दा'अलैह की इजाज़त पर मौकूफ़ होगी अगर जाइज़ कर देगा जाइज होगी और हज़ार रूपये मुद्दा'अलैह पर होंगे। और रद् कर देगा, बातिल होजायेगी और इस सुलह को अजनबी से कोई ताल्लुक न होगा। और अगर अजनबी ने यह कहा था कि तुमने जो फुलां पर दावा किया है उसके मुताल्लिक मैंने तुम से हज़ार रूपये पर सुलह की, और मुद्दई ने वही कहा, इसका भी वही हुक्म है। (खानिया)

मसअ्ला.3:– मुद्दा'अलैह मुन्किर है उसने किसी को सुलह के लिये मामूर कर दिया (किसी को हुक्म देदिया) है उस मामूर ने यह कहा, कि तुम फुलां (मुद्दा'अलैह) से हज़ार पर सुलह करलो उसने कहा, मैंने सुलह की मुद्दा'अलैह पर सुलह नाफिज होगी और उस पर हज़ार रूपये लाज़िम होंगे। और अगर मामूर ने कहा, मैंने तुमसे हज़ार रूपये पर सुलह की, इसका भी यही हुक्म है। (खानिया)

मसअ्ला.4:– अजनबी ने कहा मुझ से हज़ार रूपये पर सुलह करो, या फुलां (मुद्दा'अलैह) से मेरे माल से हज़ार रूपये पर सुलह करलो यह सुलह मुद्दा'अलैह पर नाफ़िज होगी मगर रूपये अजनबी पर लाज़िम होंगे। अगर अजनबी ने यह कहा, फुलां से हज़ार रूपये पर सुलह करलो। इस शर्त पर, कि मैं हज़ार का ज़ामिन हूँ यह सुलह भी मुद्दा'अलैह पर नाफ़िज़ होगी मुद्दई को इख़्तियार है कि बदले सुलह(वह माल जिसके बदले सुलह हुई)का मुतालबा मुद्दा'अलैह से करे या उस अजनबी से।(आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– अजनबी ने मुद्दई से सौ रूपये पर मुसालहत की, फिर कहता है 'मैं नहीं दुँगा'। अगर सुलह की इज़ाफ़त (निस्बत) अपनी तरफ़ या अपने माल की तरफ़ की है या बदले सुलह का ज़ामिन हुआ है तो अदा करने पर मजबूर किया जायेगा। अगर यह बातें नहीं हैं तो मजबूर नहीं किया जा सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– अजनबी ने बिग़ैर हुक्म मुद्दा'अलैह से सौ रूपये पर, या किसी चीज़ के बदले में सुलह की। मुद्दई के वह रूपये खरे न थे इस वजह से वापस करदिये या उस चीज़ में ऐब था वापस करदी इस सुलह करने वाले पर कुछ वाजिब न होगा मुद्दई का दावा बदस्तूर बाकी है(आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– फ़ुजूली ने मुद्दई से मस्लन सौ रूपये पर सुलह की, इस शर्त पर कि वह चीज़ जिसका मुद्दई ने दावा किया है फ़ुजूली की होगी मुद्दा'अलैह की नहीं होगी, और मुद्दा'अलैह दावा–ए–मुद्दई से मुन्किर है यह सुलह जाइज़ है। फ़ुजूली ने सुलह की, अपने माल की तरफ़ इज़ाफ़त की हो या न की हो माल का ज़ामिन हुआ हो या न हुआ हो बहर हाल जाइज़ है और अब यह फ़ुजूली मुद्दई से उस शय की तस्लीम का मुतालबा कर सकता है जिसका मुद्दई ने दावा किया था फिर अगर मुद्दई के लिये उस चीज़ की तस्लीम मुम्किन है मस्लन मुद्दई ने गवाहों से वह चीज़ अपनी साबित करदी, या मुद्दा'अलैह ने मुद्दई के हक़ में इक़रार करलिया मुद्दई वह चीज़ इस फ़ुजूली को दे और अगर तस्लीम ना'मुम्किन है तो फ़ुजूली सुलह को फ़स्ख़ करके बदले सुलह मुद्दई से वापस ले सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– फ़ुजूली ने मुद्दा'अलैह से सुलह की कि वह मकान जिसका मुद्दई ने दावा किया है इतने में उसे देदो यह सुलह जाइज़ है और अगर वह शख़्स मामूर है उसने सुलह की और ज़ामिन होगया फिर अदा किया तो मुद्दई से वह रक़म वापस ले सकता है। (आलमगीरी)

تمّ هٰذا الجزء والحمد لله رب العلمين

अनुवादक

मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी
निकट दो मीनार मस्जिद, एजाज़ नगर
पुराना शहर बरेली यु0पी0
मो0:–09219132423

बहारे शरीअत

11 से 20

मुसन्निफ

सदरुश्शरीआ मौलाना अमजद अली आज़मी रज़वी अलैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा

मौलाना मुहम्मद अमीनुल कादरी बरेलवी

नाशिर

कादरी दारुल इशाअत

[illegible] मीनार मस्जिद

[illegible] नगर, पुराना शहर बरेली

وَمَآ اَرۡسَلۡنٰكَ اِلَّا رَحۡمَةً لِّلۡعٰلَمِيۡنَ
(اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا)

किताब को पढ़ने से पहले
इस किताब को स्कैन करने वाले
और इस काम मे हिस्सा लेने वालो के हक़ में

दुआ फरमाएं

अल्लाह अज़्ज़वजल हमारे तमाम
सगीरा व क़बीरा गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाये
और ईमान पर इस्तेक़ामत अता फ़रमाये!

आमीन

बहारे शरीअ़त

चौदहवाँ हि़स्सा

मुस़न्निफ़
सदरूश्शरीआ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा
मौलाना मुह़म्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर
क़ादरी दारूल इशाअ़त
मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली–53
Mob:–9219132423

नाम किताब	बहारे शरीअत (दसवाँ हिस्सा)
मुसन्निफ़	सदरुश्शरीअ मौलाना अमजद अली आज़मी रज़वी अलैहिर्रहमा
हिन्दी तर्जमा	**मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी**
कम्प्यूटर कम्पोजिंग	रज़ा कम्प्यूटर सेण्टर दो मीनार मस्जिद एजाज़नगर बरेली
क़ीमत जिल्द दोम	750रू0 मुकम्मल 1500रू0
तादाद	1000
इशाअत	2010 ई.

मिलने के पते :

1. मकतबा नईमिया ,मटिया महल, दिल्ली।
2. नाज़ बुक डिपो ,मोहम्मद अली रोड मुम्बई
3. अलकुरआन कम्पनी ,कमानी गेट,अजमेर।
4. चिश्तिया बुक डिपो दरगाह शरीफ अजमेर।
5. कादरी दारुल इशाअत, 523 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली। 9312106346
6. मकतबा रहमानिया रजविया दरगाह आला हज़रत बरेली शरीफ़

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّی عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

मुज़ारबत का बयान

यह तिजारत में एक क़िस्म की शिरकत है कि एक जानिब से माल हो, और एक जानिब से काम। माल देने वाले को रब्बुल'माल और काम करने वाले को मुज़ारिब और मालिक ने जो दिया है यह रासुल'माल कहते हैं और अगर तमाम नफ़ा रब्बुल'माल ही के लिये देना क़रार पाया तो इसको अब्ज़ाअ् कहते हैं और अगर कुल काम करने वाले के लिये तय पाया, तो क़र्ज़ है। इस अ़क्द की लोगों को हाजत है क्योंकि इन्सान मुख़्तलिफ़ क़िस्म के हैं बाज़ मालदार हैं और बाज़ तहीदस्त, (ग़रीब) बाज़ माल वालों को काम करने का सलीक़ा नहीं होता। तिजारत के उसूल व फ़ुरूअ् से नावाक़िफ़ होते हैं और बाज़ ग़रीब काम करना जानते हैं मगर उनके पास रूपया नहीं लिहाज़ा तिजारत क्योंकर करें इस अ़क्द की मशरूईयत में यह मस्लेहत है कि अमीर व ग़रीब दोनों को फ़ायदा पहुँचे। माल वाले को रूपया देकर, और ग़रीब आदमी को उसके रूपये से काम करके।

मसअ्ला.1:– मुज़ारबत के चन्द शराइत़ हैं। (1)रासुल माल अज़ क़बीले स़मन (क़ीमत से) हो। उ़रूज़ की क़िस्म से हो, तो मुज़ारबत स़ही नहीं पैसों को रासुल'माल क़रार दिया, और वह चलते हों तो मुज़ारबत स़ही है। यूँही निकिल की इकन्नियाँ दो अन्नियाँ रासुल'माल होसकती हैं जब तक उनका चलन है अगर अपनी कोई चीज़ देदी कि इसे बेचो और स़मन पर क़ब्ज़ा करो और उससे बत़ौर मुज़ारबत काम करो। इसने उसको रूपया या अशर्फ़ी से बेचकर काम शुरू कर दिया। यह मुज़ारबत स़ही है। (2)रासुल'माल मा़लूम हो, अगरचे इस त़रह़ मा़लूम किया गया हो कि इसकी त़रफ़ इशारा कर दिया फिर अगर नफ़ा तक़सीम करते वक़्त रासुल'माल की मिक़दार में इख़्तिलाफ़ हो तो गवाहों से जो स़ाबित करदे, उसकी बात मोअ्तबर है और दोनों के गवाह हों तो रब्बुल'माल के गवाह मोअ्तबर हैं। और किसी के पास गवाह न हों तो क़सम के साथ मुज़ारबत की बात मोअ्तबर होगी। (3)रासुल'माल में हो, या़नी मुअ़य्यन हो दैन न हो जो ग़ैर'मुअ़य्यन वाजिब फ़िज़्ज़िम्मा (किसी के ज़िम्मे लाज़िम) होता है। मुज़ारबत अगर दैन के साथ हुई, और वह दैन मुज़ारिब पर है। या़नी उससे कह दिया कि तुम्हारे ज़िम्मे जो मेरा रूपया है उससे काम करो यह मुज़ारबत स़ही नहीं है। जो ख़ुद ख़रीदेगा, उसका मालिक मुज़ारिब होगा और जो कुछ है दैन होगा उसके ज़िम्मे होगा और अगर दूसरे पर दैन हो, मस्लन कह दिया, कि फ़ुलां के ज़िम्मे इतना रूपया है उसको वसूल करो। और उससे बत़ौर मुज़ारबत तिजारत करो यह मुज़ारबत जाइज़ है अगरचे इस त़रह़ करना मकरूह है और अगर यह कहा था कि फ़ुलाँ पर मेरा दैन है वुसूल करके, फिर उससे काम करो उसने कुल क़ब्ज़ा करने से पहले काम करना शुरू कर दिया, ज़ामिन है। अगर तल्फ़ (बर्बाद) होगा, ज़मान देना होगा और अगर यह कहा था कि उससे रूपया वुसूल करो और काम करो और उसने कुल रूपया वसूल करने से पहले काम शुरू कर दिया ज़ामिन नहीं और अगर यह कहा था कि मुज़ारबत पर काम करने के लिये उससे रूपया वसूल करो तो कुल वसूल करने से पहले काम करने की इजाज़त नहीं। या़नी ज़मान देना होगा। (बहर, दुर्रेमुख़्तार वग़ैरहुमा)

मसअ्ला.2:– यह कहा, कि मेरे लिये उधार गुलाम ख़रीदो फिर बेचो, और उसके स़मन से बत़ौर मुज़ारबत काम करो इसने ख़रीदा, फिर बेचा और काम किया यह सूरत जाइज़ है ग़ास़िब या अमीन या जिसके पास उसने अबज़ाअ् के त़ौर पर रूपया दिया था। उनसे कहा, जो कुछ मेरा माल तुम्हारे पास है उससे बत़ौर मुज़ारबत काम करो, नफ़ा आधा आधा, यह जाइज़ है। (बहर, दुर्र) (4)रासुल'माल मुज़ारिब को देदिया जाये या़नी उसका पूरे त़ौर पर क़ब्ज़ा होजाये, रब्बुल'माल का बिल्कुल क़ब्ज़ा न रहे। (5)नफ़ा दोनों माबैन शाइअ् (हिस्सेदारी) हो या़नी मस्लन निस्फ़ निस्फ़ या दो तिहाई, एक चौथाई,

या तीन चौथाई, एक चौथाई। नफ़ा में इस तरह हिस्सा मोअय्यन न किया जाये जिसमें शिरकत ख़त्म होजाने का एहतिमाल (शक) हो मसलन यह कहदिया कि मैं सौ रूपये नफ़ा लूँगा। इसमें हो सकता है कि नफ़ा सौ ही हो, या उससे भी कम। दूसरे की नफ़ा में, क्योंकर शिरकत होगी या कह दिया, कि निस्फ़ लूँगा और उसके साथ दस रूपये और लूँगा इसमें भी हो सकता है कि कुल नफ़ा दस ही रूपये हो तो दूसरा शख़्स क्या पायेगा। **(6)**हर एक का हिस्सा मालूम हो। लिहाज़ा ऐसी शर्त जिसकी वजह से नफ़ा में जिहालत पैदा हो मुज़ारबत को फ़ासिद कर देती है। मसलन यह शर्त, कि तुम को आधा या तिहाई नफ़ा दिया जायेगा यानी दोनों में से किसी एक को मोअय्यन नहीं किया बल्कि तरदीद के साथ बयान करता है और अगर इस शर्त से नफ़ा में जिहालत न हो, तो वह शर्त ही फ़ासिद है और मुज़ारबत सही है। मसलन यह, कि नुकसान जो होगा। वह मुज़ारिब के ज़िम्मे होगा या दोनों के ज़िम्मे डाला जायेगा। **(7)**मुज़ारिब के लिये नफ़ा देना शर्त हो अगर रासुल'माल में से कुछ देना शर्त किया गया या रासुल'माल और नफ़ा दोनों में से देना शर्त किया गया। मुज़ारबत फ़ासिद होजायेगी। (बहर, दुरर)

मसअ्ला.3:– रब्बुल'माल ने यह कहा, कि जो कुछ ख़ुदा नफ़ा देगा वह हम दोनों का होगा या नफ़ा में हम दोनों शरीक होंगे और नफ़ा दोनों को बराबर मिलेगा और अगर मुज़ारिब को रूपये देते वक़्त यह कहा, कि हमारे माबैन इस तरह तक़सीम होगा जो फ़ुलाँ व फ़ुलाँ के माबैन ठहरा है तो मुज़ारबत जाइज़ है। और अगर दोनों या एक को मालूम न हो कि उनके माबैन क्या ठहरा है तो ना'जाइज़, और मुज़ारबत फ़ासिद। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– रूपया दिया, और मुज़ारिब से कह दिया कि तुम्हारा जो जी चाहे, नफ़ा में से मुझे दे देना यह मुज़ारबत फ़ासिद है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– एक हज़ार रूपये मुज़ारिब को इस तौर पर दिये कि नफ़ा की दो तिहाईयाँ मुज़ारिब की होंगी। बशर्ते कि एक हज़ार रूपये अपने भी इसमें शामिल करे और दो हज़ार से काम करे उसने ऐसा ही किया और हुआ, तो एक हज़ार का कुल नफ़ा मुज़ारिब को मिलेगा और एक हज़ार जो रब्बुल'माल के हैं उनके नफ़ा में दो तिहाईयाँ मुज़ारिब की और एक तिहाई रब्बुल'माल की होगी और अगर रब्बुल'माल ने कह दिया, कि कुल नफ़ा की दो तिहाईयाँ मेरी, और एक तिहाई मुज़ारिब की तो नफ़ा को बराबर तक़सीम करें और इस सूरत में मुज़ारबत नहीं हुई बल्कि अब्ज़ाअ् है कि अपने माल का सारा नफ़ा ख़ुद लेना क़रार देदिया है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– रूपये दिये और कहदिया कि गेहूँ ख़रीदोगे तो आधा नफ़ा तुम्हारा और आटा ख़रीदोगे तो चौथाई नफ़ा तुम्हारा और जौ ख़रीदोगे तो एक तुम्हारी इस सूरत में जैसा कहा, उसी सूरत से नफ़ा तक़सीम किया जायेगा मगर गेहूँ ख़रीदचुका तो अब जौ या आटा नहीं ख़रीद सकता।(आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– मालिक ने यह कहा कि अगर इस शहर में काम करोगे तो तुम्हें एक तिहाई नफ़ा मिलेगा और बाहर काम करोगे तो निस्फ़, इसमें ख़रीदने का एतिबार है, बेचने का एतिबार नहीं। अगर इस शहर में ख़रीदा, तो एक तिहाई दी जायेगी। बेचना यहाँ हो, या बाहर। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– मुज़ारबत का यह हुक्म है कि जब मुज़ारिब को माल दिया गया उस वक़्त वह अमीन है और जब उसने काम शुरू किया, अब वह वकील है और जब कुछ नफ़ा हुआ तो अब शरीक है। और रब्बुल'माल के ख़िलाफ़ किया, तो ग़ासिब है और मुज़ारबत फ़ासिद होगई तो वह अजीर है। और इजारा भी फ़ासिद। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– मुज़ारबत में जो कुछ ख़सारा होता है। वह रब्बुल'माल का होता है। अगर यह चाहे, कि ख़सारा मुज़ारिब को हो माल वाले को न हो इसकी सूरत यह है कि कुल रूपया मुज़ारिब को बतौर क़र्ज़ देदे और एक रूपया बतौर शिरकत इनान दे उसकी तरफ़ से वह कुल रूपये, जो इसने क़र्ज़ में दिये और उसका एक रूपया और इस तरह की कि काम दोनों करेंगे। और नफ़ा में बराबर

के शरीक रहेंगे और काम करने के वक़्त तन्हा वही मुस्तक़रिज़ (कर्ज़मन्द) काम करता रहा, इसने कुछ नहीं किया इसमें हर्ज नहीं क्योंकि अगर रब्बुल'माल काम न करे तो शिरकत बातिल नहीं होती। अगर तिजारत में नुक़सान हुआ, तो ज़ाहिर है उसका एक ही रूपया है सारा माल तो मुस्तक़रिज़ का है उसका ख़सारा हुआ रब्बुल'माल का कैसे ख़सारा होगा क्योंकि जो कुछ मुस्तक़रिज़ को दिया है वह क़र्ज़ है उससे वसूल करेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– मुज़ारबत अगर फ़ासिद होजाती है तो इजारा की तरफ़ मुन्क़लिब (लौट) हो जाती है यानी अब मुज़ारिब को नफ़ा मुक़र्रर हुआ है वह नहीं मिलेगा बल्कि उजरते मिस्ल मिलेगी चाहे नफ़ा इस काम में हुआ हो, या न हुआ हो। मगर यह ज़रूर है कि यह उजरत इससे ज़्यादा न हो जो मुज़ारबत की सूरत में मिलता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– वसी ने यतीम का माल बतौर मुज़ारबते फ़ासिदा लिया मस्लन यह शर्त की कि दस रूपये नफ़ा के मैं लूँगा और उसने काम किया और नफ़ा भी हुआ मगर वसी को कुछ नहीं मिलेगा(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– मुज़ारबते फ़ासिदा में भी मुज़ारिब के पास जो माल रहता है वह बतौर अमानत है। अगर कुछ नुक़सान होजाये, तावान उसके ज़िम्मे नहीं जिस तरह मुज़ारबत सहीहा में तावान नहीं। दूसरे को माल दिया और कुल नफ़ा अपने लिये मशरूत कर लिया जिसको अब्ज़ाअ् कहते हैं। इसमें भी उसके पास जो माल है बतौर अमानत है हलाक होजाये तो ज़िमान नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.13:– रब्बुल माल ने मुज़ारिब को माल दिया, और शर्त यह की है कि मुज़ारिब के साथ मैं भी काम करूँगा इससे मुज़ारबत फ़ासिद होगई इसमें दो सूरतें हैं एक यह, कि रब्बुल माल ही ने अक़्दे मुज़ारबत किया और अपने ही काम करने की शर्त की है दूसरी यह कि क़ायदा दूसरा है। और रब्बुल माल दूसरा मस्लन नबालिग़ बच्चा या मअ्तूह (कम अक़्ल, पागल) का माल है। इसके वली ने किसी से अक़्दे मुज़ारबत किया और शर्त यह है कि यह बच्चा भी (जिसका माल है) तुम्हारे साथ काम करेगा दोनों सूरतों में मुज़ारबत फ़ासिद है या दोनों शख़्सों में शिरकत है एक शरीक ने अक़्दे मुज़ारबत किया, और माल देदिया और शर्त यह है कि मुज़ारिब के साथ मेरा शरीक भी काम करेगा मुज़ारबत फ़ासिद होजायेगी जबकि रासुल'माल दोनों की शिरकत का हो और अगर रासुल'माल मुश्तरक न हो और शिरकते इनान हो तो मुज़ारबत सही है और अगर शिरकते मुफ़ावज़ा हो तो मुतलक़न सही नहीं और अगर आक़िद (जो रब्बुल माल नहीं है) उसने अपने काम करने की शर्त की है। इसमें दो सूरतें हैं वह आक़िद खुद इस माल को बतौर मुज़ारबत लेसकता है या नहीं, अगर नहीं ले सकता तो मुज़ारबत फ़ासिद है मस्लन गुलाम माजून ने बतौर मुज़ारबत माल दिया और अपने अमल की शर्त करली यह फ़ासिद है। और अगर वह ख़ुद मुज़ारबत के तौर पर माल लेसकता है तो फ़ासिद नहीं जैसे बाप या वसी, कि उन्होंने बच्चे को मुज़ारबतन दिया, और ख़ुद अपने अमल की शर्त करली कि काम करेंगे और नफ़ा में से इतना लेंगे इससे मुज़ारबत फ़ासिद नहीं। गुलाम माजून ने अक़्द किया, और अपने मौला के काम करने की शर्त की इसकी भी दो सूरतें हैं। वह दैन है या नहीं अगर दैन नहीं है अक़्द फ़ासिद है वरना सही है जिस तरह मकातिब ने अक़्द किया, और मौला का काम करना शर्त किया, यह मुतलक़न सही है। (हिदाया, बहर, वग़ैरहा)

मसअ्ला.14:– मुज़ारिब ने रब्बुल'माल को मुज़ारबतन माल देदिया यह दूसरी मुज़ारबत सही नहीं। और पहली मुज़ारबत ब'दस्तूर सही है और नफ़ा उसी तौर पर तक़सीम होगा जो बाहम ठहरा है(आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– मुज़ारिब व रब्बुल'माल में मुज़ारबत की सेहत व फ़साद (सहीह और फ़ासिद होने) में इख़्तिलाफ़ इसकी दो सूरतें हैं अगर मुज़ारिब फ़साद का मुद्दई है तो रब्बुल'माल का क़ौल मोअ्तबर, और रब्बुल'माल ने फ़साद का दावा किया तो मुज़ारिब का क़ौल मोअ्तबर, इसका क़ायदा यह है कि उक़ूद में जो मुद्दई सेहत है उसका क़ौल मोअ्तबर होता है। हाँ अगर रब्बुल'माल यह कहता है कि तुम्हारे लिये दस कम तिहाई नफ़ा शर्त था। मुज़ारिब कहता है तिहाई नफ़ा मेरे लिये

था यहाँ रब्बुल'माल का क़ौल मोअ्तबर है हालांकि इसके तौर पर मुज़ारबत फ़ासिद है और मुज़ारिब के तौर पर सही है क्योंकि यहाँ मुज़ारिब ज़्यादत का मुद्दई है और रब्बुल माल मुन्किर। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– मुज़ारबत कभी मुतलक़ होती है जिसमें ज़मान व मकान और क़िस्म की तिजारत की तअ्युन नहीं होती रूपया देदिया है कि तिजारत करो नफ़ा दोनों का इस तरह शिरकत होगी। और कभी मुज़ारबत में तरह तरह की क़ैदें होती हैं। मुज़ारबत मुतलक़ा में मुज़ारिब को हर क़िस्म की बैअ् का इख़्तियार है। नक़द भी बेच सकता है उधार भी। मगर ऐसा ही उधार कर सकता है जो ताजिरों में राइज है उसी तरह हर क़िस्म की चीज़ ख़रीद सकता है ख़रीद व फ़रोख़्त में दूसरे को वकील कर सकता है दरिया और ख़ुश्की का सफ़र भी कर सकता है अगरचे रब्बुल'माल ने शहर के अन्दर इसको माल दिया हो। अब्ज़ाअ् भी कर सकता है यानी दूसरे को माले तिजारत के लिये देदिया। और नफ़ा अपने लिये शर्त करे, यह होसकता है बल्कि ख़ुद रब्बुल'माल को भी बज़ाअत के तौर पर माल दे सकता है और इससे मुज़ारबत फ़ासिद नहीं होगी। मुज़ारिब माल को किसी के पास अमानत रख सकता है और इससे मुज़ारबत फ़ासिद नहीं होगी दूसरे की चीज़ अपने पास रहन लेसकता है किसी चीज़ को इजारा पर देसकता है किराये पर लेसकता है मुश्तरी ने समन का किसी पर हवाले करदिया, मुज़ारिब इस हवाले को क़बूल करसकता है क्योंकि यह सारी बातें तिजारत की आदत में दाख़िल हैं। कभी यहाँ माल बेचते हैं कभी बाहर लेजाते हैं और इसके लिये गाड़ी, कश्ती, जानवर वग़ैरा को किराये पर लेते हैं वरना माल किस तरह लेजायेगा दुकान पर नौकर रखने की ज़रूरत होती है दुकान किराये पर लेनी होती है माल रखने के लिये मकान किराये पर लेना होता है और इसकी हिफ़ाज़त के लिये नौकर रखना होता है वग़ैरा वग़ैरा यह सब बातें बिल्कुल ज़ाहिर हैं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– मुज़ारबत मुतलक़ा में भी माल लेकर सफ़र उस वक़्त कर सकता है जब ब'ज़ाहिर ख़तरा न हो और अगर रास्ता ख़तरनाक हो लोग उस रास्ते से डर की वजह से नहीं जाते, तो मुज़ारिब भी माल लेकर उस रास्ते से नहीं जा सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– मुज़ारिब ने माल बैअ् करने के बाद समन के लिये कोई मीआद मुक़र्रर करदी यह जाइज़ है। और अगर मबीअ् में ऐब था। उसके समन से कुछ कम कर दिया, जितना तुज्जार (ताजिर लोग) इस सूरत में कम किया करते हैं यह भी जाइज़ है और अगर बहुत ज़्यादा कम कर दिया कि आदते तुज्जार के ख़िलाफ़ है तो यह कमी तुज्जार के ख़िलाफ़ है तो यह कमी तुज्जार के ज़िम्मे होगी। रब्बुल'माल से इसका कोई ताल्लुक़ न होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.19:– मुज़ारिब यह नहीं कर सकता कि दूसरे को बतौर मुज़ारबत यह माल देदे या उसके माल के साथ शिरकत करे या उस माल को अपने माल के साथ ख़लत करे (मिलादे)। मगर जब कि रब्बुल'माल ने इसको इन कामों की इजाज़त देदी हो या कहदिया हो कि तुम अपनी राय से काम करो। मुज़ारिब को क़र्ज़ देने का इख़्तियार नहीं और इस्तिदाना का भी इख़्तियार नहीं। अगरचे रब्बुल'माल ने कह दिया हो कि अपनी राय से काम करो क्योंकि यह दोनों चीजें तुज्जार की आदत में नहीं इस्तिदाना के यह माना हैं कि कोई बीज उधार ख़रीदी और माले मुज़ारबत में उस समन की जिन्स से कुछ बाक़ी नहीं है मसलन जो कुछ रूपया था सबकी चीज़ें ख़रीदी जा चुकी, अब कुछ बाक़ी नहीं है इसके बावजूद मुज़ारिब दस, बीस, सौ, पचास की कोई और चीज़ ख़रीदले। यह मुज़ारबत में शामिल न होगी मुज़ारिब की अपनी होगी अपने पास से दाम देने होंगे। अगर रब्बुल माल ने साफ़ सरीह लफ़्ज़ों में क़र्ज़ देने, और इस्तिदाना की इजाज़त देदी हो तो अब मुज़ारिब दोनों को कर सकता है। और इस्तिदाना के तौर पर जो कुछ ख़रीदेगा, वह रब्बुल माल व मुज़ारिब के माबैन बतौर शिरकते वजूह मुश्तरक होगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.20:– मुज़ारबत के तौर पर एक हज़ार रूपये दिये थे मुज़ारिब को एक हज़ार से ज़्यादा की चीज़ें ख़रीदने का इख़्तियार नहीं और अगर इसने ख़रीदलीं तो एक हज़ार की चीज़ें मुज़ारबत

की हैं। बाक़ी चीज़ें ख़ास मुज़ारिब की हैं। नुक़सान होगा, तो इन चीज़ों के मुक़ाबले में जो कुछ नुक़सान है वह तन्हा मुज़ारिब के ज़िम्मे है और उनका नफ़ा भी तन्हा मुज़ारिब ही को मिलेगा और इन चीज़ों को माले मुज़ारबत में ख़लत करने से मुज़ारिब पर ज़िमान लाज़िम न होगा। (ख़ानिया)

मसअला.21:– रब्बुल'माल ने रूपये दिये थे और मुज़ारिब ने अशर्फ़ी से चीज़ें ख़रीदीं या अशर्फ़ियाँ दी थीं और मुज़ारिब ने रूपये से चीज़ें ख़रीदीं, तो यह चीज़ें मुज़ारबत ही की क़रार पायेंगी कि रूपया और अशर्फ़ी इस बाब में, एक ही जिन्स हैं और अगर रब्बुल'माल ने रूपया या अशर्फ़ी न दी थी। और मुज़ारिब ने ग़ैर नुक़ूद से चीज़ें ख़रीदीं, तो यह चीज़ें मुज़ारबत की नहीं बल्कि ख़ास मुज़ारिब की होंगी। (आलमगीरी)

मसअला.22:– रब्बुल माल ने अशर्फ़ियाँ दी थीं मुज़ारिब ने रूपये से चीज़ें ख़रीदीं, मगर यह रूपये अशर्फ़ियों की क़ीमत से ज़्यादा हैं तो जितने ज़्यादा हैं उनकी चीज़ें ख़ास मुज़ारिब की मिल्क हैं। और मुज़ारिब इस सूरत में मुज़ारबत में शरीक होजायेगा और अगर वह रूपये अशरफ़ियों की क़ीमत के थे मगर ख़रीदने के बाद समन अदा करने से पहले अशर्फ़ियों का नर्ख़ उतरगया, तो यह नुक़सान माले मुज़ारबत में क़रार पायेगा अशर्फ़ियाँ भुनाकर समन अदा करे और जो कमी पड़े, माल बेचकर बाइअ् का बक़िया समन अदा करे। (आलमगीरी)

मसअला.23:– मुज़ारिब ने पूरे मालै मुज़ारबत से कपड़ा ख़रीदा, और उसको अपने पास से धुलवाया या माले मुज़ारबत को लादकर, दूसरी जगह लेगया। और यह किराया अपने पास से ख़र्च किया। अगर मुज़ारिब से रब्बुल'माल ने कहा था कि तुम अपनी राय से काम करो यह मुज़ारिब मुतबर्रा है। यानी इन चीज़ों का इसे कोई मुआवज़ा नहीं मिलेगा। क्योंकि इस्तिदाना का इसे अख़्तियार न था और अगर कपड़े को सुर्ख़ रंगदिया, या धुलवाकर इसमें कलफ़ चढ़ाया, तो इस रंग या कलफ़ की वजह से जो कुछ इसकी क़ीमत में इज़ाफ़ा होगा इतने का यह शरीक है यानी मुज़ारिब ने अपने माल को माले मुज़ारबत में मिला दिया, मगर चूँकि रब्बुल'माल ने कह दिया था कि अपनी राय से काम करो, लिहाज़ा इसको मिला देने का इख़्तियार था। अब यह कपड़ा फ़रोख़्त हुआ इसमें रंग की क़ीमत का जो हिस्सा है वह तन्हा मुज़ारिब का है और ख़ाली सफ़ेद कपड़े का जो समन होगा वह मुज़ारबत के तौर पर होगा मस्लन वह थान उस वक़्त दस रूपये में फ़रोख़्त हुआ और रंगा हुआ न होता, तो आठ रूपये में बिकता, दो रूपये मुज़ारिब के हैं और आठ रूपये मुज़ारबत के तौर पर और अगर रब्बुल'माल ने यह नहीं कहा था कि तुम अपनी राय से काम करो, तो मुज़ारिब शरीक नहीं बल्कि ग़ासिब होगा। (दुर्रे मुख़्तार) और इस पिछली सूरत में मालिक को इख़्तियार है कि कपड़ा लेकर ज़्यादती का मुआवज़ा देदे या सफ़ेद कपड़े की क़ीमत मुज़ारिब से तावान ले। (आलमगीरी)

मसअला.24:– कुल रूपये का कपड़ा ख़रीदा या बार'बर्दारी या धुलाई वग़ैरा अपने पास से सर्फ़ की, तो मुतबर्रा (भलाई के काम) हैं कि न इसका मुआवज़ा मिलेगा, न इसकी वजह से तावान पड़ेगा।(आलमगीरी)

मसअला.25:– मुज़ारिब को यह इख़्तियार नहीं कि किसी से क़र्ज़ ले अगरचे रब्बुल'माल ने साफ़ लफ़्ज़ों में क़र्ज़ लेने की इजाज़त देदी हो क्योंकि क़र्ज़ लेने के लिये वकील करना भी दुरुस्त नहीं अगरश्क्स क़र्ज़ लेगा तो उसका ज़िम्मेदार यह ख़ुद होगा, रब्बुल माल से इसका ताल्लुक़ नहीं होगा(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.26:– मुज़ारिब ऐसा काम नहीं कर सकता, जिसमें ज़रर (नुक़सान) हो। न वह काम कर सकता है जो तुज्जार न करते हों न ऐसी मीआद पर बैअ् कर सकता है जिस मीआद पर तुज्जार नहीं बेचते हों और दो शख़्सों को मुज़ारिब किया है तो तन्हा एक बैअ् व शिरा नहीं कर सकता, जब तक अपने साथी से इजाज़त न लेले। (बहर)

मसअला.27:– अगर बैअ् फ़ासिद के साथ कोई चीज़ ख़रीदी, जिसमें क़ब्ज़ा करने से मिल्क हो जाती है यह मुख़ालफ़त नहीं है वह चीज़ मुज़ारबत ही कहलायेगी और ग़बने फ़ाहिश के साथ ख़रीदी, तो मुख़ालफ़त है और यह चीज़ सिर्फ़ मुज़ारिब की मिल्क होगी अगरचे मालिक ने कह दिया

हो। कि अपनी राय से काम करो और गबने फ़ाहिश के साथ ख़रीदी, तो मुख़ालफ़त नहीं है। (बहर)

मसअ्ला.28:– रब्बुल'माल ने शहर या वक़्त या क़िस्मे तिजारत की तायीन करदी हो यानी कह दिया हो कि इस शहर में या इस ज़माने में ख़रीद व फ़रोख़्त करना, या फ़ुलाँ क़िस्म की तिजारत करना तो मुज़ारिब पर इसकी पाबन्दी लाज़िम है इसके ख़िलाफ़ नहीं कर सकता यूँही अगर बाइअ् या मुश्तरी की तक़ईद (क़ैद लगादी हो) करदी हो कहदिया हो कि फ़ुलाँ दुकान से ख़रीदना, या फ़ुलाँ फ़ुलाँ के हाथ बेचना इसके ख़िलाफ़ भी नहीं कर सकता अगरचे पाबन्दियाँ इसने अक़्दे मुज़ारबत करते वक़्त, या रूपये देते वक़्त न की हों बाद में यह क़ैदें बढ़ा दी हों अगर मुज़ारिब ने सौदा ख़रीद लिया, अब किसी क़िस्म की पाबन्दी उसके ज़िम्मे करे, मस्लन यह कि उधार न बेचना, या दूसरी जगह न ले जाना वग़ैरा वग़ैरा इन क़ैदों की पाबन्दी पर मजबूर नहीं मगर जबकि सौदा फ़रोख़्त हो जाये, और रासुल'माल नक़द की सूरत में होजाये तो रब्बुल माल उस वक़्त क़ैदें लगा सकता है और मुज़ारिब पर इनकी पाबन्दी लाज़िम होगी। (दुर्रेमुख़्तार, रूद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.29:– मुज़ारिब ने कह दिया कि फ़ुलाँ शहर वालों से बैअ् करना। उसने उसी शहर में बैअ् की मगर जिससे बैअ् की वह इस शहर का बाशिन्दा नहीं है यह जाइज़ है कि इस शहर से मक़सूद इस शहर में बैअ् करना है यूंही अगर कहदिया सर्राफ़ से ख़रीद व फ़रोख़्त करना उसने सर्राफ़ के ग़ैर से अक़्दे सर्फ़ किया यह भी मुख़ालफ़त नहीं है बल्कि जाइज़ है कि इससे मक़सूद अक़्दे सर्फ़ है (आलमगीरी)

मसअ्ला.30:– रब्बुल माल ने कपड़ा ख़रीदने के लिये कह दिया है तो ऊनी, सूती, रेशमी, टसरी जो चाहे ख़रीद सकता है टाट, दरी, क़ालीन, पर्दे वग़ैरा जो पहनने के कपड़ों की क़िस्म से नहीं हैं नहीं ख़रीद सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.31:– रब्बुल'माल ने बे'फ़ायदा क़ैदें ज़िक्र कीं, मस्लन नक़द बेचना, इसकी पाबन्दी मुज़ारिब पर लाज़िम नहीं और ऐसी क़ैद फ़िल्जुमला फ़ायदा हो मस्लन इस शहर के फ़ुलाँ बाज़ार में तिजारत करना, फ़ुलाँ में न करना, इसकी पाबन्दी करनी होगी। (दुर्रेमुख़्तार) उधार की क़ैद बेकार उस वक़्त है जब मुज़ारिब ने वाजिबी क़ीमत पर उस समन पर बैअ् की जो रब्बुल'माल ने बताया था और अगर कम दामों में बैअ् करदी तो मुख़ालफ़त क़रार पायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.32:– रब्बुल माल ने मुअय्यन कर रखा था कि फ़ुलाँ शहर में या इस शहर से माल ख़रीदना, मुज़ारिब ने इसके ख़िलाफ़ किया दूसरे शहर को माल ख़रीदने के लिये चला गया ज़ामिन होगया, यानी अगर माल ज़ाइअ् होगया तावान देना होगा और जो कुछ ख़रीदेगा, वह मुज़ारिब का होगा। माले मुज़ारबत नहीं होगा और अगर वहाँ से कुछ ख़रीदा नहीं, बिग़ैर ख़रीदे वापस आगया तो मुज़ारबत औद (यानी मुज़ारबत क़ाइम रहेगी) कर आई। यानी अब ज़ामिन न रहा और अगर कुछ ख़रीदा, और कुछ रूपया वापस लाया तो जो कुछ ख़रीद लिया है उसमें ज़ामिन है और जो रूपया वापस लाया है यह मुज़ारबत पर होगया। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.33:– माले मुज़ारबत से जो लौंडी या ग़ुलाम ख़रीदेगा, उसका निकाह नहीं कर सकता। कि यह बात तुज्जार की आदत से नहीं ऐसे ग़ुलाम को नहीं ख़रीद सकता जो ख़रीदने से रब्बुल माल की जानिब से आज़ाद होजाये रब्बुल'माल का ज़ी रहम मोहरिम है अगर उसकी मिल्क में आजायेगा, आज़ाद होजायेगा या रब्बुल माल ने किसी ग़ुलाम की निस्बत कहा है कि अगर मैं इसका मालिक हो जाऊँ तो आज़ाद है कि इन सब की ख़रीदारी मक़सदे तिजारत के ख़िलाफ़ है। अगर ख़रीदेगा तो मुज़ारिब उसका मालिक होगा और इसको अपने पास से समन देना होगा रासुल'माल से समन नहीं दे सकता ब'ख़िलाफ़ वकील बिशरअ् के, कि अगर क़रीना न हो तो ऐसे ग़ुलामों को ख़रीद सकता है और वह मुवक्किल के मिल्क होंगे और आज़ाद होजायेंगे। क़रीने की सूरत यह है कि मुवक्किल ने कहा है एक ग़ुलाम मेरे लिए ख़रीदो, मैं उसे बेचूँगा, या उससे ख़िदमत लूँगा। या कनीज़ ख़रीदो, जिसको फ़र्राश बनाऊँगा। इन सूरतों में वकील भी ऐसे ग़ुलाम व कनीज़ को नहीं

ख़रीद सकता जो मुवक्किल पर आज़ाद हो जाये। (बहर, दुर्रेमुख़्तार, हिदाया)
मसअ्ला.34:– अगर माल में नफ़ा हो, तो मुज़ारिब ऐसे गुलाम को नहीं ख़रीद सकता जो खुद उसकी जानिब से आज़ाद हो जायेगा क्योंकि इस वक़्त ब'क़द्र अपने हिस्से के खुद मुज़ारिब भी इसका मालिक हो जायेगा और वह आज़ाद हो जायेगा यहाँ नफ़ा का सिर्फ़ इतना मतलब है कि इस गुलाम का वाजिबी क़ीमत रासुल माल ज़्यादा हो मस्लन एक हज़ार में ख़रीदा है और यही रासुल माल था मगर यह गुलाम ऐसा है कि बाज़ार में इसके बारह सौ मिलेंगे मालूम हुआ, कि दो सौ का नफ़ा है जिसमें एक सौ मुज़ारिब के हैं लिहाज़ा बारह सौ में से एक हिस्सा मुज़ारिब मालिक का है और यह आज़ाद है। पस इस सूरत में यह गुलाम मुज़ारबत का नहीं, बल्कि तन्हा मुज़ारिब का क़रार पायेगा और पूरा आज़ाद होजायेगा। और अगर नफ़ा न हो तो यह गुलाम मुज़ारबत का होगा और आज़ाद नहीं होगा। (बहर, दुर्रे मुख़्तार, हिदाया)
मसअ्ला.35:– माल में नफ़ा नहीं था और मुज़ारिब ने ऐसा गुलाम ख़रीदा कि अगर मुज़ारिब इसका मालिक होजाये तो वह आज़ाद होजाये। इसकी ख़रीदारी अज़ जानिब मुज़ारबत ही होगी मगर ख़रीदने के बाद बाज़ार का नर्ख़ तेज़ होगया अब इसमें नफ़ा ज़ाहिर होगया यानी जब ख़रीदा था उस वक़्त हज़ार ही का था और हज़ार में ख़रीदा मगर अब इसकी क़ीमत बारह सौ होगई तो मुज़ारिब का हिस्सा आज़ाद होगया मगर मुज़ारिब को तावान नहीं देना होगा इसलिए कि इसने क़स्दन मालिक को नुक़सान नहीं पहुँचाया है बल्कि गुलाम से सई कराकर रब्बुल'माल का हिस्सा पूरा कराया जायेगा और शरीक ने ऐसा गुलाम ख़रीदा होता जो नबालिग़ की तरफ़ से आज़ाद होता तो यह गुलाम इसी ख़रीदने वाले का क़रार पाता शरीक या नबालिग़ से इसको ताल्लुक़ न होता(हिदाया)
मसअ्ला.36:– मुज़ारिब ने ऐसे शख़्स से बैअ् व शिराअ् (ख़रीद व फ़रोख़्त) की जिसके हक़ में उसकी गवाही मक़बूल नहीं, मस्लन अपने बाप या बेटे या जौजा से, अगर यह बैअ् वाजिबी क़ीमत पर हुई। तो जाइज़ है वरना नहीं। (आलमगीरी)
मसअ्ला.37:– मुज़ारिब ने माले मुज़ारबत से कोई चीज़ ख़रीदी, उसके बाद गवाहों के सामने उसी चीज़ को अपने लिये ख़रीदता है यह ना'जाइज़ है अगरचे रब्बुल'माल ने कह दिया हो कि तुम अपनी राय से काम करना। (आलमगीरी)
मसअ्ला.38:– मुज़ारिब ने बिला इजाज़त रब्बुलमाल दूसरे शख़्स को बतौर मुज़ारबत माल देदिया, महज़ देने से मुज़ारिब ज़ामिन नहीं होगा जब तक दूसरा शख़्स काम करना शुरूअ् न करदे और दूसरे ने काम करना शुरूअ् कर दिया, तो मुज़ारिब अव्वल ज़ामिन होगया हाँ अगर दूसरी मुज़ारबत (जो मुज़ारिब ने की है) फ़ासिद हो तो ब'वजूद मुज़ारिब सानी के अमल करने के भी मुज़ारिब अव्वल ज़ामिन नहीं है अगरचे इस दूसरे ने जो कुछ काम किया है। उसमें नफ़ा हो बल्कि इस सूरत में मुज़ारबते फ़ासिदा में मुज़ारिबे सानी को उजरते मिस्ल मिलेगी जो मुज़ारिब देगा, और रब्बुलमाल ने जो नफ़ा मुज़ारिब अव्वल से ठहराया है वह लेगा। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.39:– सूरते मज़कूरा में मुज़ारिब सानी के पास से अमल करने के पहले माल ज़ाइअ् (बर्बाद) होगया, तो ज़मान किसी पर नहीं न मुज़ारिबे अव्वल पर, न मुज़ारिबे सानी पर और अगर मुज़ारिब सानी से किसी ने माल ग़सब करलिया, जब भी इन दोनों पर ज़मान नहीं बल्कि ग़ासिब से तावान लिया जायेगा और अगर मुज़ारिबे सानी ने खुद हलाक करदिया या किसी को हिबा करदिया। ख़ास इस सानी से ज़मान लिया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.40:– अगर मुज़ारिबे सानी ने काम करना शुरू कर दिया, तो रब्बुल'माल को इख़्तियार है। जिससे चाहे रासुल'माल का ज़मान ले। अव्वल या सानी से। अगर अव्वल से ज़मान लिया, तो इन दोनों के माबैन जो मुज़ारबत हुई वह सही होजायेगी और नफ़ा दोनों के लिये हलाल होगा और अगर दूसरे से ज़मान लिया, तो अव्वल से वापस लेगा और मुज़ारबत दोनों के माबैन सही

होजायेगी। मगर नफ़ा पहले के लिये हलाल नहीं है दूसरे के लिये हलाल है और अगर मुज़ारिब सानी ने किसी तीसरे को मुज़ारबत के तौर पर माल देदिया और मुज़ारिब अव्वल ने सानी से कह दिया था कि तुम अपनी राय से काम करो तो रब्बुल माल को इख़्तियार है। इन तीनों से जिससे चाहे ज़मान ले। अगर इसने तीसरे से लिया, तो यह दूसरे से लेगा और दूसरा पहले से, और पहला किसी से नहीं। (बहर, दुर्रेमुख़्तार, हिदाया)

मसअ्ला.41:– सूरते मज़कूरा में बिग़ैर इजाज़त मुज़ारिब ने दूसरे को माल देदिया है मालिक तावान नहीं लेना चाहता, बल्कि नफ़ा लेना चाहता है इसका उसे इख़्तियार नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.42:– बिग़ैर इजाज़ते मालिक मुज़ारिब ने बतौर मुज़ारबत किसी को माल देदिया और पहली मुज़ारबत फ़ासिद थी दूसरी सही है तो किसी पर ज़मान नहीं और पूरा नफ़ा रब्बुल माल को मिलेगा और मुज़ारिब अव्वल को उजरत् मिस्ल दीजायेगी और मुज़ारिबे दोम मुज़ारिब अव्वल से वह लेगा जो दोनों में तय पाया है और अगर पहली सही है दूसरी फ़ासिद, तो मुज़ारिब अव्वल वह लेगा जो तय पाया है और मुज़ारिबे दोम को उजरते मिस्ल मिलेगी जो मुज़ारिबे अव्वल से लेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.43:– मुज़ारिब दोम ने माल हलाक कर दिया, या हिबा कर दिया, तो तावान सिर्फ़ उसी से लिया जायेगा अव्वल से नहीं लिया जायेगा और अगर मुज़ारिबे दोम से किसी ने माल ग़स्ब कर लिया, तो तावान ग़ासिब से लिया जायेगा न अव्वल से लिया जायेगा न दोम से। (आलमगीरी)

मसअ्ला.44:– मुज़ारिबे अव्वल को मुज़ारबत के तौर पर माल देने की इजाज़त थी और उसने देदिया, और उन दोनों के माबैन यह तय पाया है कि मुज़ारिबे सानी को नफ़ा की तिहाई मिलेगी और उसकी तिजारत में नफ़ा भी हो अगर मुज़ारिबे अव्वल और मालिक के दरम्यान निस्फ़ निस्फ़ नफ़ा की शर्त थी या मालिक ने यह कहा था कि ख़ुदा जो कुछ नफ़ा देगा वह मेरे तुम्हारे दरम्यान निस्फ़ निस्फ़ है, या इतना ही कहा था कि नफ़ा मेरे तुम्हारे माबैन होगा तो नफ़ा से आधा मालिक लेगा और एक तिहाई मुज़ारिबे सानी लेगा और छटा हिस्सा मुज़ारिबे अव्वल का है और अगर मालिक ने यह कहा था 'ख़ुदा जो कुछ नफ़ा देगा' या यह कहा था कि तुम्हें जो कुछ नफ़ा हो वह मेरे तुम्हारे माबैन निस्फ़ निस्फ़ या इसी क़िस्म के दीगर अल्फ़ाज़ इस सूरत में एक तिहाई मुज़ारिबे सानी की और बक़िया में मालिक और मुज़ारिबे अव्वल दोनों बराबर के शरीक यानी हर एक को एक एक तिहाई मिलेगी। यूँही अगर मुज़ारिबे सानी के लिये तिहाई से ज़्यादा या कम की शर्त थी तो जो इसके लिये ठहरा था यह लेले और बाक़ी इन दोनों में निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम हो यूँही अगर मालिक ने कहदिया था कि जो कुछ तुम्हें नफ़ा हो वह हम दोनों के माबैन निस्फ़ निस्फ़ और उसने दूसरे को निस्फ़ नफ़ा पर देदिया तो जो कुछ नफ़ा होगा मुज़ारिबे सानी इसमें से निस्फ़ लेलेगा और जो बाक़ी रहे इन दोनों के माबैन निस्फ़ निस्फ़ और अगर मालिक ने यह कहदिया था कि ख़ुदा इसमें जो नफ़ा देगा, या ख़ुदा का जो कुछ फ़ज़्ल होगा वह दोनों के माबैन निस्फ़ निस्फ़ और मुज़ारिबे अव्वल ने दूसरे को निस्फ़ नफ़ा पर देदिया तो जो कुछ नफ़ा होगा उसमें से आधा मुज़ारिबे सानी लेगा और आधा मालिक लेगा और मुज़ारिबे अव्वल के लिये कुछ नहीं बचा और अगर इस सूरत में मुज़ारिबे अव्वल ने दूसरे से दो तिहाई नफ़ा के लिये कहदिया था तो आधा नफ़ा मालिक लेगा और दो तिहाई मुज़ारिब सानी की होगी यानी जो कुछ नफ़ा हुआ है उसका छटा हिस्सा मुज़ारिबे अव्वल दूसरे को अपने घर से देगा ताकि दो तिहाईयाँ पूरी हों। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.45:– मुज़ारिबे अव्वल ने मुज़ारिबे दोम को यह कहकर दिया कि तुम अपनी राय से काम करो और मुज़ारिबे अव्वल को मालिक ने भी यही कहकर दिया था तो मुज़ारिबे दोम तीसरे शख़्स को मुज़ारबत पर देसकता है और मुज़ारिबे अव्वल ने यह कहकर नहीं दिया था कि अपनी राय से काम करो तो मुज़ारिबे दोम, सोम को नहीं दे सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.46:– मज़ारिब ने यह शर्त की थी कि एक तिहाई मालिक की, और एक तिहाई मालिक के

गुलाम की, वह भी मेरे साथ काम करेगा और एक तिहाई मेरी, यह भी सही है और नफ़ा इसी तरह तक़सीम होगा इसका माहसल यह हुआ कि दो तिहाईयाँ मालिक की और अगर मुज़ारिब ने अपने गुलाम के लिये एक तिहाई रखी है और एक तिहाई मालिक की, और एक अपनी, और गुलाम के अमल की शर्त नहीं की है तो यह ना'जाइज़ है और उसका हिस्सा रब्बुल'माल को मिलेगा। यह जब कि गुलाम पर दैन हो, वरना सही है उसके अमल की शर्त हो या न हो और उसके हिस्से का नफ़ा मुज़ारिब के लिये होगा। (दुर्रेमुख़्तार, बहर)

मसअ्ला.47:– गुलाम माजून ने अजनबी के साथ अक़्दे मुज़ारबत किया और अपने मौला के काम करने की शर्त करदी अगर माजून पर दैन नहीं है यह मुज़ारबत सही नहीं है वरना सही है इसी तरह यह शर्त कि मुज़ारिब अपने मुज़ारिब के साथ, यानी मुज़ारिबे अव्वल मुज़ारिबे सानी के साथ काम करेगा या मुज़ारिबे सानी के साथ मालिक काम करेगा जाइज़ नहीं है इससे मुज़ारबत फ़ासिद होजाती है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.48:– यह शर्त की कि इतना नफ़ा मिस्कीनों को दिया जायेगा या हज में दिया जायेगा। यानी हाजियों के मसारिफ़(खर्चो)में दिया जायेगा या गर्दन छुड़ाने में यानी मुकातिब की आज़ादी में इससे मदद दीजायेगी या मुज़ारिब की औरत को या उसके मुकातिब को दिया जायेगा यह शर्त सही नहीं है मगर मुज़ारबत सही है और यह हिस्सा जो शर्त किया गया है रब्बुल'माल को मिलेगा(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.49:– यह शर्त की कि नफ़ा इतना हिस्सा मुज़ारिब जिसको चाहे देदे अगर उसने अपने लिये या मालिक के लिये चाहा तो यह शर्त सही है। और किसी अजनबी के लिये चाहा तो सही नहीं। अजनबी के लिये नफ़ा का हिस्सा देना शर्त किया अगर उसका अमल भी मशरूत है यानी वह भी काम करेगा और इतना उसे दिया जायेगा तो शर्त सही है और उसका काम करना शर्त न हो तो सही नहीं और उसके लिये जो देना क़रार पाया है मालिक को दिया जायेगा यह शर्त है कि नफ़ा का इतना हिस्सा दैन अदा करने में सर्फ़ किया जायेगा यानी मालिक का दैन उससे अदा किया जायेगा या मुज़ारिब का दैन अदा किया जायेगा यह शर्त सही है और यह हिस्सा उसका है जिसका दैन अदा करना शर्त है और उसको इस बात पर मजबूर नहीं कर सकते कि क़र्ज़ ख़्वाहों को देदे। (दुर्रेमुख़्तार, बहर)

मसअ्ला.50:– दोनों में से एक के मर जाने से मुज़ारबत बातिल होजाती है, दोनों में से एक मजनून होजाये और जुनून भी मुतबक़ हो (ऐसा जुनून जो एक माह मुसलसल रहे) तो मुज़ारबत बातिल होजायेगी मगर माले मुज़ारबत, अगर तिजारत की शक्ल में है और मुज़ारिब मरगया तो उसका वसी इन सब को बेच डाले और अगर मालिक मरगया, और माले तिजारत नक़द की सूरत में है तो मुज़ारिब इसमें तसर्रुफ़ नहीं कर सकता और अगर सामान की शक्ल में है तो उसको सफ़र में नहीं लेजा सकता। बैअ् कर सकता है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.51:– मुज़ारिब मरगया और माले मुज़ारबत का पता नहीं चलता कि कहाँ है यह मुज़ारिब के ज़िम्मे दैन है जो उसके तर्के से वुसूल किया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.52:– मुज़ारिब मरगया, उसके ज़िम्मे दैन है मगर माले मुज़ारबत मशहूर व मारूफ़ है लोग जानते हैं कि यह चीज़ें मुज़ारबत की हैं दैन वाले उससे दैन वसूल नहीं कर सकते बल्कि रासुल'माल और नफ़ा का हिस्सा रब्बुल'माल लेगा। नफ़ा में जो मुज़ारिब का हिस्सा है वह दैन वाले अपने दैन में ले सकते हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.53:– रब्बुल'माल मआज़ल्लाह मुर्तद होकर दारूलहर्ब को चला गया तो मुज़ारबत बातिल हो गई और मुज़ारिब मुर्तद होगया तो मुज़ारबत ब'दस्तूर बाक़ी है फिर अगर मरजाये या क़त्ल किया जाये या दारूल–हर्ब को चला जाये और क़ाज़ी ने यह एलान भी कर दिया कि वह चलागया तो इस सूरत में मुज़ारबत बातिल होगई। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.54:– मुज़ारिब को रब्बुल'माल माज़ूल कर सकता है ब'शर्ते कि उसको माज़ूली का इल्म होजाये। यह ख़बर उसे दो मर्दों के ज़रिये से उसे मिली या एक आदिल ने उसे ख़बर दी या

मालिक के क़ासिद ने ख़बर दी अगरचे यह क़ासिद बालिग़ भी न हो, समझ वाला होना काफ़ी है और अगर मालिक ने माज़ूल कर दिया मगर मुज़ारिब को ख़बर न हुई तो माज़ूल नहीं जो कुछ तसर्रूफ़ करेगा, सही होगा। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला.55:– मुज़ारिब माज़ूल हुआ और माल नक़द की सूरत में है यानी रूपया अशर्फ़ी है तो उसमें तसर्रूफ़ करने की इजाज़त नहीं हाँ अगर रासुल'माल रूपया था और इस वक़्त अशर्फ़ी है तो उनको भुनाकर रूपया करले इसी तरह रासुल'माल अशरफ़ी था और इस वक़्त रूपया है तो उनकी अशर्फ़ियाँ करले ताकि नफ़ा का रासुल'माल से अच्छी तरह इम्तियाज़ न होसके। (हिदाया) यही हुक्म रब्बुल'माल के मरने की सूरत में है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.56:– मुज़ारिब माज़ूल हुआ या मालिक मरगया, और माल सामान (यानी ग़ैर नक़द) की शक्ल में है तो मुज़ारिब इन चीज़ों को बेचकर नक़द जमा करे उधार बेचने की भी इजाज़त है और जो रूपया आता जाये उनसे फिर चीज़ ख़रीदनी जाइज़ नहीं। मालिक को यह इख़्तियार नहीं कि मुज़ारिब को इस सूरत में सामान बेचने से रोकदे बल्कि यह भी नहीं कर सकता कि किसी क़िस्म की क़ैद उसके ज़िम्मे लगाये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.57:– पैसे रासुल'माल थे मगर इस वक़्त मुज़ारिब के पास रूपये हैं और मालिक ने मुज़ारिब को ख़रीद व फ़रोख़्त से मना कर दिया, तो मुज़ारिब सामान नहीं ख़रीद सकता मगर रूपये भुनाकर पैसे कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.58:– रब्बुल'माल व मुज़ारिब दोनों जुदा होते हैं मुज़ारबत को ख़त्म करते हैं और माल बहुत लोगों के ज़िम्मे बाक़ी है और नफ़ा भी है दैन वुसूल करने पर मुज़ारिब मजबूर किया जायेगा और अगर नफ़ा कुछ नहीं है सिर्फ़ रासुल माल ही भर है या शायद यह भी न हो इस सूरत में मुज़ारिब को दैन वुसूल करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि नफ़ा न होने की सूरत में यह मुतबर्रा है। और मुतबर्रा को काम करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता हाँ उससे कहा जायेगा कि रब्बुल'माल को दैन वुसूल करने के लिये वकील करदे क्योंकि बैअ् की हुई मुज़ारिब की है और इसके हुक़ूक़ उसी के लिए हैं। वकील बिल्बैअ् (बेचने का वकील) और मुस्तब्ज़ाअ् (जिसको काम करने के लिये इस तरह माल दिया गया हो कि तमाम नफ़ा माल वाले को मिलेगा) का भी यही हुक्म है कि इनको वुसूल करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता मगर इस पर मजबूर किये जायेंगे कि मुवक्किल व मालिक को वकील करदें। ब'ख़िलाफ़ दलाल और आढ़ती के कि यह स्मन वुसूल करने पर मजबूर हैं। (हिदाया, आलमगीरी)

मसअ्ला.59:– मुज़ारबत का माल लोगों के ज़िम्मे बाक़ी है मालिक ने मुज़ारिब को वुसूल करने से मना कर दिया, इसको अन्देशा है कि मुज़ारिब वुसूल करके खा न जाये। मालिक कहता है कि मैं ख़ुद वुसूल करूँगा तो अगर माल में नफ़ा है तो मुज़ारिब ही को वुसूल करने का हक़ है और नफ़ा नहीं है तो मुज़ारिब को रोक सकता है फिर नफ़ा की सूरत में जिन लोगों पर दैन है उसी शहर में हैं तो वुसूली के ज़माने का नफ़्क़ा मुज़ारिब को नहीं मिलेगा और दूसरे शहर में हैं तो मुज़ारिब के सफ़र के इख़्राजात माले मुज़ारबत से दिये जायेंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.60:– माले मुज़ारबत जो कुछ ख़रीदा है उसके ऐब पर मुज़ारिब को इत्तिला हुई तो मुज़ारिब ही को दावा करना होगा। रब्बुल'माल से उसका ताल्लुक़ नहीं और अगर बाइअ् यह कहता है कि ऐब पर यह राज़ी होगया था या मैंने ऐब से बराअत करली थी या ऐब पर मुत्तला होने के बाद यह ख़ुद बैअ् कर रहा था तो मुज़ारिब पर हलफ़ दिया जायेगा फिर अगर मुज़ारिब इन उमूर का इक़रार करने या हलफ़ से नुकूल करे तो बाइअ् पर वापस नहीं किया जायेगा और यह मुज़ारबत का माल क़रार पायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.61:– मुज़ारिब ने माल बेचा मुश्तरी कहता है इसमें ऐब है और यह ऐब इस मुद्दत में मुश्तरी के यहाँ पैदा हो सकता है मुज़ारिब ने इक़रार कर लिया कि यह ऐब मेरे यहाँ था इसके इक़रार की वजह

से क़ाज़ी ने वापस करदिया, या इसने बिग़ैर क़ज़ा–ए–क़ाज़ी ख़ुद वापस लेलिया या मुश्तरी ने इक़ाला चाहा इसने इक़ाला कर लिया यह सब जाइज़ है यानी अब भी मुज़ारबत का माल है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.62:– जिस चीज़ को मुज़ारिब ने ख़रीदा उसे देखा नहीं, तो मुज़ारिब को ख़्यारे रूयत हासिल है अगरचे रब्बुल'माल देख चुका है देखने के बाद मुज़ारिब को ना'पसन्द है वापस कर सकता है और अगर मुज़ारिब देख चुका है तो ख़्यारे रूयत हासिल नहीं अगरचे रब्बुल माल ने न देखी हो। (आलमगीरी)

नफ़ा की तक़सीम

मसअ्ला.63:– माले मुज़ारबत से जो कुछ माल हलाक और ज़ाइअ् होगा वह नफ़ा की तरफ़ शुमार होगा रासुल'माल में नुक़सानात को शुमार नहीं किया जा सकता मस्लन् सौ रूपये थे और तिजारत में बीस रूपये का नफ़ा हो और दस रूपये ज़ाइअ् होगये तो यह नफ़ा में मिन्हा किये (घटाये) जायेंगे यानी अब अस्सी ही रूपये नफ़ा के बाक़ी हैं अगर नुक़सान इतना हुआ, कि नफ़ा उसको पूरा नहीं कर सकता मस्लन बीस नफ़ा के हैं और पचास का नुक़सान हुआ तो यह नुक़सान रासुल'माल में होगा। मुज़ारिब से कुल या निस्फ़ नहीं ले सकता क्योंकि वह अमीन है और अमीन पर ज़िमान नहीं अगरचे वह नुक़सान मुज़ारिब ही के फ़ेअ्ल से हुआ हो हाँ अगर जान बूझकर क़स्दन उसने नुक़सान पहुँचाया या शीशे की चीज़ क़स्दन पटक दी इस सूरत में तावान देना होगा कि इसकी उसे इजाज़त न थी। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.64:– मुज़ारबत में नफ़ा की तक़सीम उस वक़्त सही होगी कि रासुल'माल रब्बुल'माल को देदिया जाये रासुल'माल देने से क़ब्ल तक़सीम बातिल है यानी फ़र्ज़ करो कि रासुल'माल हलाक हो गया तो नफ़ा वापस करके रासुल'माल पूरा करें इसके बाद अगर कुछ बचे तो ह़स्बे क़रारदाद तक़सीम करलें मस्लन एक हज़ार रासुल'माल है और एक हज़ार नफ़ा पाँच पाँच सौ दोनों ने नफ़ा के लेलिये, और रासुल'माल मुज़ारिब ही के पास रहा कि वह इस से फिर तिजारत करेगा यह हज़ार हलाक होगये काम करने से पहले हलाक हुए या बाद में बहर हाल मुज़ारिब पाँचसौ की रक़म रब्बुल'माल को वापस करदे और ख़र्च कर चुका है तो अपने पास से पाँचसौ दे कि यह रक़म और जो रब्बुल'माल ले चुका है वह रासुल'माल में महसूब है और नफ़ा का हलाक होना तसव्वुर होगा। और वह हज़ार नफ़ा के थे एक एक हज़ार दोनों ने लिये थे इसके बाद रासुल'माल हलाक हुआ तो एक हज़ार जो मालिक को मिले हैं उनको रासुल'माल तसव्वुर किया जाये और मुजारिब के पास जो एक हज़ार हैं वह नफ़ा के हैं उनमें से रब्बुल'माल पाँच सौ वुसूल करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.65:– रासुल'माल लेने के बाद तक़सीम सही है यानी अब कोई ख़राबी पड़े तो तक़सीम पर उसका कुछ असर न होगा मस्लन रासुल'माल ले लेने के बाद नफ़ा तक़सीम किया गया फिर वही रासुल'माल मुज़ारिब को बतौर मुज़ारबत देदिया तो यह जदीद मुज़ारबत है कि रासुल'माल के पास माल हलाक हो, तो पहली तक़सीम नहीं तोड़ी जायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.66:– रब्बुल'माल व मुज़ारिब दोनों साल पर या शशमाही या माहवार हिसाब करके नफ़ा तक़सीम कर लेते हैं और मुज़ारबत को ह़स्बे दस्तूर बाक़ी रखते हैं इसके बाद कुल माल या बाज़ माल हलाक होजाये तो दोनों नफ़ा की इतनी इतनी मिक़दार वापस करें कि रासुल'माल पूरा हो जाये और अगर सारा नफ़ा वापस करने पर भी रासुल'माल पूरा नहीं होता तो सारा नफ़ा वापस करके मालिक को देदें। इसके बाद जो कमी रह गई है उसका तावान नहीं और अगर नफ़ा की रक़म तक़सीम करने के बाद मुज़ारबत तोड़ देते हैं अगरचे यह तक़सीम रासुल'माल अदा करने से क़ब्ल हुई हो इसके बाद फिर जदीद अ़क़्द करके काम करते हैं तो जो नफ़ा तक़सीम होचुका है वह वापस नहीं लिया जा सकता बल्कि जितना नुक़सान होगा वह नफ़ा के बाद रासुल'माल ही पर डाला जायेगा क्योंकि इस जदीद मुज़ारबत को पहली मुज़ारबत से कोई ताल्लुक़ नहीं मुज़ारिब को नुक़सान से बचने की यह अच्छी तर्कीब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.67:– रासुल'माल देने के बाद नफ़ा की तक़सीम हुई मगर मालिक का हिस्सा भी मुज़ारिब

ही के पास रहा उसने अभी क़ब्ज़ा नहीं किया था कि यह रक़म ज़ाइअ् होगई तो तन्हा मालिक का हिस्सा ज़ाइअ् होना तसव्वुर नहीं किया जायेगा बल्कि दोनों का नुक़सान क़रार पायेगा लिहाज़ा मुज़ारिब के पास तो नफ़ा की रक़म है उसे दोनों तक़सीम करलें और अगर मुज़ारिब का हिस्सा ज़ाइअ् हुआ तो ख़ास इसी का नुक़सान है क्योंकि यह अपने हिस्से पर क़ब्ज़ा कर चुका था इसकी वजह से तक़सीम न तोड़ी जाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.68:– नफ़ा के मुताल्लिक़ जो क़रारदाद हो चुकी है मस्लन निस्फ़ निस्फ़ या कम व बेश इसमें कमी ज़्यादती करना जाइज़ है मस्लन रब्बुल'माल ने निस्फ़ नफ़ा लेने को कहा था अब कहता है मैं एक तिहाई ही लूँगा यानी मुज़ारिब का हिस्सा बढ़ा दिया यूँही मुज़ारिब अपना हिस्सा कम करदे यह भी जाइज़ है इसी जदीद क़रारदाद पर नफ़ा की तक़सीम होगी अगरचे नफ़ा इस क़रारदाद से पहले हासिल होचुका है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.69:– वक़्तन फ़'वक़्तन मुज़ारिब से सौ, पचास, बीस रूपये लेता रहा, और देते वक़्त मुज़ारिब से यह कहता था कि यह नफ़ा है अब तक़सीम के वक़्त कहता है नफ़ा हुआ ही नहीं वह जो मैंने दिया था वह रासुल'माल में से दिया था मुज़ारिब की बात क़ाबिले क़बूल नहीं। (ख़ानिया)

मसअ्ला.70:– मालिक ने मुज़ारिब से कहा मेरा रासुल'माल मुझे देदो जो बाक़ी बचे तुम्हारा है अगर माल मौजूद है इस तरह कहना जाइज़ है यानी मुज़ारिब जोबाक़ी रहा उस का मालिक न होगा कि यह हिबा मजहूला है और ऐसा हिबा जाइज़ नहीं और मुज़ारिब ख़र्च कर चुका है तो यह कहना जाइज़ है। कि अपना मुतालबा मुआफ़ करना है और इसके लिये जिहालत मुज़िर नहीं(आलमगीरी)

मसअ्ला.71:– मुज़ारिब ने रब्बुल'माल को कुछ माल या कुल माल बुज़ाअत के तौर पर देदिया है कि वह काम करेगा मगर उस काम का उसे बदला नहीं दिया जायेगा और रब्बुल'माल ने ख़रीद व फ़रोख़्त करना शुरूअ् कर दिया, उससे मुज़ारबत पर कुछ असर नहीं पड़ता वह ब'दस्तूर साबिक़ बाक़ी है और अगर मालिक ने मुज़ारिब की बिगैर इजाज़त माल लेकर ख़रीद व फ़रोख़्त की तो मुज़ारबत बातिल होगई। अगर रासुल'माल नक़द हो और अगर रासुल माल सामान हो उसको बिगैर इजाज़त लेगया और उसको सामान के एवज़ में बैअ् किया, तो मुज़ारबत बातिल नहीं हुई और अगर रूपया अशर्फ़ी के बदले में बेच दिया तो बातिल होगई। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.72:– मुज़ारिब ने रब्बुल'माल को मुज़ारबत के तौर पर माल दिया जाइज़ नहीं यानी यह दूसरी मुज़ारबत सही नहीं है और वह पहली मुज़ारबत हस्बे दस्तूर बाक़ी है। (हिदाया)

मसअ्ला.73:– मुज़ारिब जब तक अपने शहर में काम करता है खाने पीने और दीगर मसारिफ़ माले मुज़ारबत में नहीं होंगे बल्कि तमाम अख़राजात का ताल्लुक़ मुज़ारिब की ज़ात से होगा और अगर परदेस जायेगा तो खाना, पीना, कपड़ा, सवारी और आदतन जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जिनके मुताल्लिक़ ताजिरों का उर्फ़ हो यह सब मसारिफ़ माले मुज़ारबत में से होंगे दवा इलाज में जो कुछ सर्फ़ होगा, वह मुज़ारबत से नहीं मिलेगा यह इस सूरत में है कि मुज़ारबत सही हो और अगर मुज़ारबत फ़ासिद हो, तो परदेस जाने के बाद भी मसारिफ़ उसकी ज़ात पर होंगे माले मुज़ारबत से नहीं ले सकता और बुज़ाअत (सारा नफ़ा माल वाले को मिलेगा) के तौर पर जो शख़्स काम करता हो उसके मसारिफ़ भी नहीं मिलेंगे। (हिदाया)

मसअ्ला.74:– मसारिफ़ में से कपड़े की धुलाई और अगर खुद धोना पड़े तो साबुन भी है अगर रोटी पकाने या दूसरे काम करने के लिये आदमी नौकर रखने की ज़रूरत हो तो उसका सर्फ़ा भी मुज़ारबत से वुसूल किया जायेगा जानवर का दाना, चारा भी, उसी में से होगा और सवारी किराये की मिले, किराये पर ली जाये और ख़रीदने की ज़रूरत पड़े मस्लन रोज़–रोज़ का काम है कहाँ तक किराये पर लेगा या किराये पर मिलती नहीं है ख़रीदले, दरयाई सफ़र में कश्ती की ज़रूरत है किराये पर, या मोल ले बाज़ जगह बदन में तेल की मालिश करानी होती है इसका सर्फ़ा भी मिलेगा। (हिदाया)

मसअ्ला.75:– मालिक ने अपने गुलाम और जानवर मुज़ारिब को बतौर इआनते सफ़र (सफ़र में मदद के लिये) में ले जाने के लिये देदिये इससे मुज़ारबत फ़ासिद नहीं होगी और गुलामों और जानवरों के मसारिफ़ मुज़ारिब के ज़िम्मे हैं मुज़ारबत से इनके अख़राजात नहीं दिये जायेंगे और मुज़ारिब ने माले मुज़ारबत से इन पर सर्फ़ किया तो ज़ामिन है मुज़ारिब को नफ़ा में से जो हिस्सा मिलेगा उसमें से यह मसारिफ़ मिन्हा (काटेंगे) होंगे और कमी पड़ेगी तो उससे ली जायेगी और मसारिफ़ से बच रहा, तो उसे दे दिया जायेगा हाँ अगर रब्बुल'माल से कह दिया 'कि मेरे माल से इन पर सर्फ़ किया जाये' तो मसारिफ़ उसी के माल से महसूब होंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.76:– हज़ार रूपये मुज़ारिब को दिये थे उसने काम किया और नफ़ा भी हुआ और मालिक मरगया और उस पर इतना दैन है जो कुल माल को मुस्तग़रक़ है (कर्ज़ काटकर माल न बचे)। तो मुज़ारिब अपना हिस्सा पहले लेगा उसके बाद क़र्ज़ ख़्वाह अपने दैन (क़र्ज़) वसूल करेंगे और अगर यह मुज़ारबत फ़ासिद हो तो मुज़ारिब को उजरते मिस्ल मिलेगी और वह रब्बुल'माल के ज़िम्मे होगी जिस तरह दीगर क़र्ज़ ख़्वाह दैन लेंगे यह भी हिस्सा रसद के मुवाफ़िक़ पायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.77:– ख़रीदने या बेचने पर किसी को अजीर किया, यानी नौकर रखा यह इजारा नहीं, क्योंकि जिस काम पर इसको अजीर करता है उसके इख़्तियार में नहीं अगर ख़रीदार न ले तो किसके हाथ बेचे और बाइअ् न बेचे, तो क्यूँकर ख़रीदे लिहाज़ा इसके जवाज़ का तरीक़ा यह है कि मुद्दते मोअ़य्यन के लिये काम करने पर नौकर रखे और काम पर लगादे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.78:– मुज़ारिब ने हाजत से ज़्यादा सर्फ़ा किया ऐसे मसारिफ़ के लिये जो तुज्जार (ताजिरों) की आदत में नहीं हैं इन तमाम मसारिफ़ का तावान देना होगा। (हिदाया)

मसअ्ला.79:– अगर वह शहर मुज़ारिब का मौलिद (जाए पैदाइश) नहीं है मगर वहीं की सुकूनत उसने इख़्तियार करली है तो माले मुज़ारबत से मसारिफ़ (ख़र्चे) नहीं ले सकता और वहाँ नियते इक़ामत (ठहरने की नियत) करके मुक़ीम होगया मगर वहाँ की सुकूनत इख़्तियार नहीं की है तो माले मुज़ारबत से वुसूल करेगा यहाँ परदेस जाने से मुराद सफ़रे शरई नहीं है बल्कि इतनी दूर चला जाना मुराद है कि रात तक घर लौटकर न आये और रात तक घर लौट कर आजाये तो सफ़र नहीं मस्लन देहात के बाज़ार कि दुकानदार वहाँ जाते हैं मगर रात ही में वापस आजाते हैं। (बहर)

मसअ्ला.80:– एक शख़्स दूसरे शहर का रहने वाला है और माले मुज़ारबत दूसरे शहर में लिया मस्लन मुरादाबाद का रहने वाला है और बरेली में आकर माल लिया तो जब तक बरेली में है उसको मसारिफ़ नहीं मिलेंगे और जब बरेली से चला अब मसारिफ़ मिलेंगे जब तक मुरादाबाद पहुँच न जाये और जब मुरादाबाद में है यह इसका वतने असली है यहाँ नहीं मिलेंगे अब अगर यहाँ से ब'ग़र्ज़े तिजारत चलेगा तो मिलेंगे बल्कि फिर बरेली पहुँचगया और कारोबार के लिये जब तक ठहरेगा मसारिफ़ मिलते रहेंगे क्योंकि यह तिजारत के लिये ठहरना है हाँ अगर बरेली भी उसका वतन हो मस्लन उसके बाल बच्चे यहाँ भी रहते हैं यहाँ उसने शादी करली है तो जब तक यहाँ रहेगा, ख़र्च नहीं मिलेगा यह भी वतन है। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.81:– किसी शहर को माल ख़रीदने गया और वहाँ पहुँच भी गया मगर कुछ ख़रीदा नहीं, वैसे ही वापस आया तो इस सूरत में भी मसारिफ़ माले मुज़ारबत से मिलेंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.82:– मालिक ने कह दिया था कि तुम अपनी राय से काम करो और मुज़ारिब ने किसी दूसरे को मुज़ारबत के तौर पर माल देदिया यह मुज़ारिबे दोम अगर सफ़र करेगा तो मसारिफ़ माले मुज़ारबत से मिलेंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.83:– मुज़ारिब कुछ माल अपना और माले मुज़ारबत दोनों लेकर सफ़र में गया उसके पास दो शख़्सों के माल हैं इन सूरतों में बक़द्र हिस्सा दोनों पर ख़र्च डाला जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.84:– मुज़ारिब ने सफ़र में ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदीं, और ख़र्च करता रहा यहाँ तक कि

अपने वतन में पहुँच गया और कुछ चीज़ें बाक़ी रहगई हैं तो हुक्म यह है कि जो कुछ बचे सब माले मुज़ारबत में वापस करे क्योंकि इन चीज़ों का अब सर्फ़ करना जाइज़ नहीं। (हिदाया)

मसअला.85:– मुज़ारिब ने अपने माल से तमाम मसारिफ़ किये और क़स्द यह है कि माले मुज़ारबत से वुसूल करेगा ऐसा कर सकता है यानी वुसूल कर सकता है और माले मुज़ारबत ही हलाक होगया तो रब्बुल'माल से उन मसारिफ़ को नहीं ले सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.86:– जो कुछ नफ़ा हुआ पहले उससे अख़्राजात पूरे किये जायेंगे जो मुज़ारिब ने रासुल'माल से किये हैं जब रासुल'माल की मिक़दार पूरी होगई इसके बाद कुछ नफ़ा बचा तो उसे हस्बे शराइत तक़सीम करलें और नफ़ा कुछ नहीं है तो कुछ नहीं मसलन हज़ार रूपये दिये थे सौ रूपये मुज़ारिब ने अपने ऊपर ख़र्च करडाले और सौ ही रूपये बिल्कुल नफ़ा के हैं कि यह पूरे ख़र्च में निकल गये और कुछ नहीं बचा और अगर नफ़ा के सौ से ज़्यादा होते तो तक़सीम होते। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.87:– जो कुछ मसारिफ़ हुए नफ़ा की मिक़दार उससे कम है तो मसारिफ़ की बक़िया रक़म रासुल'माल से पूरी की जाये। (आलमगीरी)

मसअला.88:– मुज़ारिब मुराबहा करना चाहता है तो जो कुछ माल पर ख़र्च हुआ है बार'बर्दारी, दलाली, उन थानों की धुलाई, रंगाई और उनके अलावा वह तमाम चीज़ें जिनको रासुल'माल में शामिल करने की आदत है उन सबको मिलाकर मुराबहा करे और यह कहे, इतने में यह चीज़ पड़ी है यह न कहे कि मैंने इतने में ख़रीदी है कि यह ग़लत है और जो कुछ मसारिफ़ मुज़ारिब ने अपने मुताल्लिक़ किये हैं वह बैअ़ मुराबहा में शामिल नहीं किये जायेंगे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला89:– मुज़ारिब ने एक चीज़ रब्बुल'माल से हज़ार रूपये में ख़रीदी, जिसको रब्बुल'माल ने पाँचसौ में ख़रीदा था उसका मुराबहा पाँचसौ पर होगा न कि हज़ार रूपये पर यानी मुराबहा में यह बैअ़ कलअ़दम (बेकार) समझी जायेगी इसी तरह इसका अक्स यानी रब्बुल माल ने मुज़ारिब से एक चीज़ हज़ार रूपये में ख़रीदी जिसको मुज़ारिब ने पाँचसौ में ख़रीदा था तो मुराबहा पाँचसौ में होगा। (हिदाया) बैअ़ मुराबहा व तौलिया के मसाइल किताबुल बुयूअ़ में मुफ़स्सल मज़कूर हो चुके हैं वहाँ से मालूम किये जायें।

मसअला.90:– मुज़ारिब के पास हज़ार रूपये आधे नफ़ा पर हैं इसने हज़ार रूपये का कपड़ा ख़रीदा, और दो हज़ार में बेच डाला फिर दो हज़ार की कोई चीज़ ख़रीदी, और समन अदा करने से पहले कुल रूपये, यानी दोनों हज़ार ज़ाइअ़ होगये। पन्द्रहसौ मालिक बाइअ़ को दे और पाँचसौ मुज़ारिब को दे क्योंकि दो हज़ार में मालिक के पन्द्रहसौ थे और मुज़ारिब के पाँच सौ लिहाज़ा हर एक अपने अपने हिस्से की बराबर बाइअ़ को अदा करे इस मबीअ़ में एक चौथाई मुज़ारिब की मिल्क है क्योंकि एक चौथाई उसने क़ीमत दी है और यह चौथाई मुज़ारबत से ख़ारिज है और बाक़ी तीन चौथाईयाँ मुज़ारबत की हैं और रासुल'माल कुल वह रक़म है जो मालिक ने दी है यानी दो हज़ार पाँचसौ, मगर मुज़ारिब अगर इस चीज़ का मुराबहा करेगा तो दो ही हज़ार पर करेगा ज़्यादा पर नहीं क्योंकि यह चीज़ दो ही हज़ार में ख़रीदी है लेकिन फ़र्ज़ करो उस चीज़ को दो चन्द क़ीमत पर अगर फ़रोख़्त किया यानी चार हज़ार में, एक हज़ार सिर्फ़ मुज़ारिब लेगा कि यह चौथाई का यह मालिक था और पच्चीस सौ रासुल'माल के निकाले जायें और बाक़ी पाँच सौ दोनों निस्फ़ निस्फ़ करलें यानी ढाई ढाई सौ। (हिदाया)

मसअला.91:– मुज़ारिब ने रासुल'माल से अभी चीज़ ख़रीदी भी नहीं कि रासुलमाल तल्फ़ (बर्बाद) होगया तो मुज़ारबत बातिल होगई और चीज़ ख़रीदली है और अभी समन अदा नहीं किया है कि मुज़ारिब के पास रूपया ज़ाइअ़ होगया रब्बुल'माल से फिर लेगा फिर ज़ाइअ़ होजाये तो फिर लेगा वअ़ला हाज़ल क़यास। और रासुल'माल तमाम वह रक़म होगी जो मालिक ने यके बाद दीगरे दी है ब'ख़िलाफ़ वकील बिश्शरअ़ कि अगर उसको रूपया पहले देदिया था और ख़रीदने के बाद यह रूपया ज़ाइअ़ होगया तो एक मर्तबा मुवक्किल से ले सकता है अब अगर ज़ाइअ़ होजाये तो

मुवक्किल से नहीं ले सकता और पहले वकील को नहीं दिया था ख़रीदने के बाद दिया और ज़ाइअ् होगया तो अब मुवक्किल से नहीं ले सकता। (हिदाया, आलमगीरी)

दोनों में इख़्तिलाफ़ के मसाइल

मसअ्ला.92:– मुज़ारिब के पास दो हज़ार रूपये हैं और यह कहता है कि एक हज़ार तुमने दिये थे और एक हज़ार नफ़ा के हैं और रब्बुल'माल यह कहता है कि मैंने दो हज़ार दिये हैं अगर किसी के पास गवाह न हों तो मुज़ारिब का क़ौल क़सम के साथ मोअ्तबर है और अगर इसके साथ साथ नफ़ा की मिक़दार में भी इख़्तिलाफ़ हो मुज़ारिब कहता है कि मेरे लिए आधे नफ़े की शर्त थी और रब्बुल'माल कहता है कि तिहाई नफ़ा तुम्हारे लिये था इसमें रब्बुल'माल का क़ौल क़सम के साथ मोअ्तबर है और अगर दोनों में से किसी ने अपनी बात को गवाहों से साबित किया तो उसी की बात मानी जायेगी और अगर दोनों गवाह पेश करें तो रासुल'माल की ज़्यादती में मुज़ारिब के गवाह मोअ्तबर। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.93:– मुज़ारिब कहता है रासुलमाल मैंने तुम्हें देदिया और यह जो कुछ मेरे पास है नफ़ा की रक़म है इसके बाद फिर कहने लगा मैंने तुम्हें नहीं दिया बल्कि ज़ाइअ् होगया और मुज़ारिब को तावान देना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.94:– एक हज़ार रूपये इसके पास किसी के हैं मालिक कहता है यह बतौर बिज़ाअत दिये थे (यानी सारा नफ़ा मेरे लिये मुक़र्रर था) इसमें एक हज़ार नफ़ा हुआ है। यह ख़ास मेरा है और वह कहता है मुज़ारबत बिन्नफ़्स के तौर पर मुझे दिये थे लिहाज़ा आधा नफ़ा मेरा है इस सूरत में मालिक का क़ौल मोअ्तबर है कि यही मुन्किर है। यूँही अगर मुज़ारिब कहता है कि यह जो रूपये थे तुमने मुझे क़र्ज़ दिये थे लिहाज़ा कुल नफ़ा मेरा है। और मालिक कहता है 'मैंने अमानत या बिज़ाअत या मुज़ारबत के तौर पर दिये थे। इसमें भी रब्बुल'माल ही का क़ौल क़सम के साथ मोअ्तबर है। और दोनों ने गवाह पेश किये, तो मुज़ारिब के गवाह मोअतबर हैं और अगर मालिक कहता है 'मैंने क़र्ज़ दिये थे' और मुज़ारिब कहता है 'बतौर मुज़ारबत दिये थे' तो मुज़ारिब का क़ौल मोअतबर है और जो गवाह क़ायम कर दे, उसके गवाह मोअतबर हैं और अगर दोनों ने गवाह पेश किये, तो मालिक के गवाह मोअ्तबर होंगे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.95:– मुज़ारिब कहता है 'तुमने हर क़िस्म की तिजारत की मुझे इजाज़त दी थी' या मुज़ारबत मुतलक़ थी। यानी आम या ख़ास किसी का ज़िक्र न था। और मालिक कहता है 'मैंने ख़ास फ़ुलां चीज़ की तिजारत के लिये कहदिया था'। इसमें मुज़ारिब का क़ौल मोअ्तबर है और अगर दोनों एक एक चीज़ को ख़ास करते हों। मुज़ारिब कहता है 'मुझे कपड़े की तिजारत को कह दिया था' मालिक कहता है 'मैंने ग़ल्ले के लिये कहा था' तो क़ौले मालिक मोअ्तबर है और गवाह मुज़ारिब के। और अगर दोनों के गवाहों ने वक़्त भी बयान किया मस्लन मुज़ारिब के गवाह कहते हैं कि कपड़े की तिजारत के लिए रमज़ान में कहा था। और मालिक के गवाह कहते हैं। ग़ल्ले की तिजारत के लिये दिये थे और शव्वाल का महीना मुक़र्रर कर दिया था तो जिसके गवाह आख़िर वक़्त बयान करें वह मोअ्तबर। (दुर्रेमुख़्तार) यह उस वक़्त है कि अ़मल के बाद इख़्तिलाफ़ हो और अगर अ़मल करने से क़ब्ल बाहम इख़्तिलाफ़ हो तो मुज़ारिब उ़मूम या मुतलक़ का दावा करता है। और रब्बुल माल कहता है। मैंने फ़ुलां ख़ास चीज़ की तिजारत के लिये कहा था तो रब्बुल'माल का क़ौल मोअ्तबर है। इस इन्कार के मानां यह हैं कि मुज़ारिब को हर क़िस्म की तिजारत से मना करता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.96:– मुज़ारिब कहता है मेरे लिए आधा या तिहाई नफ़ा ठहरा था और मालिक कहता है तुम्हारे लिए सौ रूपये ठहरे थे या कुछ शर्त न थी। लिहाज़ा मुज़ारबत फ़ासिद होगई। और तुम उजरते मिस्ल के मुस्तहिक़। इसमें रब्बुल माल का क़ौल इक़रार के साथ मोअ्तबर है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.97:– वसी ने नबालिग़ के माल को बतौर मुज़ारबत ख़ुद लिया, यह जाइज़ है बाज़ उ़लमा यह क़ैद इज़ाफ़ा करते हैं कि अपने लिये इतना ही नफ़ा लेना क़रार दिया हो जो दूसरे को देता(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.98:– मुज़ारिब ने रासुल'माल से कोई चीज़ ख़रीदी है और कहता है इसे अभी नहीं बेचूँगा,

जब ज़्यादा मिलेगा उस वक़्त बैअ् करूँगा और मालिक यह कहता है कुछ नफ़ा मिल रहा है इसे बैअ् कर डालो, मुज़ारिब बेचने पर मजबूर किया जायेगा। हाँ अगर मुज़ारिब यह कहता है मैं तुम्हारा रासुल'माल भी दूंगा और नफ़ा का हिस्सा भी दूंगा। उस वक़्त मालिक को इसके क़बूल पर मजबूर किया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मुताफ़र्रिक़ मसाइल

मसअ्ला.1:– मुज़ारिब को रूपये दिये कि कपड़ा ख़रीदकर इसे काटकर, सीकर फ़रोख़्त करे और जो कुछ नफ़ा होगा वह दोनों में निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम होजायेगा यह मुज़ारबत जाइज़ है। यूँही मुज़ारिब से कहा 'यह रूपये लो और चमड़ा ख़रीदकर मौज़े या जूते तैयार करो और फ़रोख़्त करो' यह मुज़ारबत भी जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– एक हज़ार रूपये मुज़ारबत पर एक माह के लिये दिये और कह दिया कि महीना गुज़र जायेगा तो यह क़र्ज़ होगा तो जैसा उसने कहा है वही समझा जायेगा महीना गुज़र गया और रूपये ब'दस्तूर बाक़ी हैं तो क़र्ज़ हैं और सामान ख़रीद लिया तो जब तक उन्हें बेचकर रूपये न करले क़र्ज़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– मुज़ारिब को मालिक ने पैसे दिये थे कि इनसे तिजारत करे, अभी सामान ख़रीदा न था कि उनका चलन बन्द होगया मुज़ारबत फ़ासिद होगई फिर अगर मुज़ारिब ने उनसे सौदा ख़रीदकर नफ़ा या नुक़सान उठाया वह रब्बुल'माल का होगा और मुज़ारिब को उजरते मिस्ल मिलेगी और अगर मुज़ारिब के सामान ख़रीद लेने के बाद वह पैसे बन्द हुए तो मुज़ारबत बदस्तूर बाक़ी है फिर सामान बेचने के बाद जो रक़म हासिल होगी उससे पैसों की क़ीमत रब्बुल'माल को अदा करे उसके बाद जो बचे उसे हस्बे क़रार तक़सीम किया जाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– बाप ने बेटे के लिये किसी से मुज़ारबत पर माल लिया, यूँ कि इस माल से बेटे के लिये काम करेगा चुनान्चे उसने काम किया और नफ़ा भी हुआ तो यह नफ़ा रब्बुल'माल और बाप में हस्बे क़रार तक़सीम होगा। बेटे को कुछ नहीं मिलेगा और अगर बेटा इतना बड़ा है कि उसके हमजोली ख़रीद व फ़रोख़्त करते हैं और बाप ने इस तौर पर माल लिया है कि लड़का ख़रीद व फ़रोख़्त करेगा और नफ़ा दोनों को आधा आधा मिलेगा, यह मुज़ारबत जाइज़ है और जो कुछ नफ़ा होगा वह रब्बुल'माल और लड़के में आधा आधा तक़सीम होजायेगा। यूँही इस सूरत में लड़के के कहने से बाप ने काम किया है तो आधा नफ़ा लड़के को मिलेगा और उसके बिग़ैर कहे उसने काम किया, तो ज़ामिन है ओर नफ़ा उसी को मिलेगा मगर उसको सदक़ा करदे वसी के लिये भी यही अहकाम हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– रब्बुल'माल ने माले मुज़ारबत को वाजिबी क़ीमत या ज़ाइद पर बैअ् कर डाला तो जाइज़ है और वाजिबी से कम पर बेचा तो नाजाइज़ है जब तक मुज़ारिब बैअ् की इजाज़त न देदे(आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– मुज़ारिब अपने चन्द हमराहियों के साथ किसी सराये में ठहरा उनमें से एक यहीं हुजरे में रहा, बाक़ी साथियों के साथ मुज़ारिब बाहर चला गया कुछ देर बाद यह एक भी दरवाज़ा खुला छोड़कर चला गया और माले मुज़ारबत ज़ाइअ् होगया अगर मुज़ारिब को इस पर एअ्तिमाद था तो मुज़ारिब ज़ामिन नहीं यह ज़ामिन है और अगर मुज़ाारिब को इस पर एअ्तिमाद न था तो ख़ुद मुज़ारिब ज़ामिन है। (ख़ानिया)

मसअ्ला.7:– मुज़ारिब को हज़ार रूपये दिये कि अगर ख़ास फ़ुलाँ क़िस्म का माल ख़रीदोगे तो नफ़ा जो कुछ होगा निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम होगा और फ़ुलाँ क़िस्म का माल ख़रीदोगे तो कुल नफ़ा रब्बुल'माल का होगा और फ़ुलाँ क़िस्म का ख़रीदोगे तो सारा नफ़ा मुज़ारिब का होगा तो जैसा कहा वैसा ही किया जायेगा यानी क़िस्मे अव्वल में मुज़ारबत है और नफ़ा निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम होगा और क़िस्मे दोम का माल ख़रीदा तो बिज़ाअ़त है। नफ़ा रब्बुल'माल का और नुक़सान हो तो वह भी इसी का, और क़िस्मे सोम का माल ख़रीदा तो रूपये मुज़ारिब पर क़र्ज़ हैं नफ़ा भी उसी का, नुक़सान भी उसी का। (आलमगीरी)

वदीअत का बयान

वदीअ़त रखना जाइज़ है। क़ुर्आन व ह़दीस से इसका जवाज़ साबित,
अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है।

﴿ان الله يامركم ان تؤدوا الامانت الى اهلها﴾
"अल्लाह हुक्म फ़रमाता है कि अमानत जिसकी हो, उसे दे दो"

और फ़रमाता है।

﴿والذين هم لامنتهم وعهدهم رعون﴾
"और फ़लाह पाने वाले वह हैं जो अपनी अमानतों और अ़हद की रिआ़यत रखते हैं"।

और फ़रमाता है।

﴿يايها الذين امنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا امنتكم وانتم تعلمون﴾
"ऐ ईमान वालों अल्लाह रसूल की ख़्यानत न करो और न अपनी अमानतों में जानबूझ कर ख़्यानत करो"

ह़दीस स़ही में है कि मुनाफ़िक़ की अ़लामत में यह है कि जब उसके पास अमानत रखी जाये तो ख़्यानत करे।

मसअ्ला.1:– दूसरे शख़्स को अपने माल की हि़फ़ाज़त पर मुक़र्रर कर देने को ईदाअ़ कहते हैं। और उस माल को वदीअ़त कहते हैं जिसको आ़म तौर पर "अमानत" कहा जाता है। जिसकी चीज़ है मूदेअ़ और जिसकी हि़फ़ाज़त में दी गई, उसे मूदा़ कहते हैं। ईदा़ की दो सूरते हैं कभी स़राह़तन कह दिया जाता है कि हमने यह चीज़ तुम्हारी हि़फ़ाज़त में दी और कभी दलालतन ईदा़ होता है। मस्लन किसी की कोई चीज़ गिर गई और मालिक की ग़ैर मौजूदगी में लेली यह चीज़ लेने वाले की हि़फ़ाज़त में आगई अगर लेने के बा़द उसने छोड़ दी, ज़ामिन है और मालिक की मौजूदगी में ली है ज़ामिन नहीं।

मसअ्ला.2:– वदीअ़त के लिये ईजाब व क़बूल ज़रूरी हैं, ख़्वाह यह दोनों चीज़ें स़राह़तन हों या दलालतन **ईजाब** मस्लन यह कहे कि मैं यह चीज़ तुम्हारे पास वदीअ़त रखता हूँ, अमानत रखता हूँ ईजाब दलालतन यह कि मस्लन एक शख़्स ने दूसरे से कहा कि मुझे हज़ार रूपये देदो यह कपड़ा मुझे देदो उसने कहा मैं तुमको देता हूँ कि अगरचे देने का लफ़्ज़ हिबा के वास्ते भी बोला जाता है। मगर वदीअ़त उससे कम मर्तबे की चीज़ है इसी पर अ़मल करेंगे और कभी फ़ेअ्ल भी ईजाब होता है मस्लन किसी के पास अपनी चीज़ रख कर चला गया, और कुछ न कहा, स़राह़तन क़बूल मस्लन वह कहे मैंने क़बूल किया और दलालतन यह कि उसके पास किसी ने चीज़ रखदी और कुछ न कहा या कहदिया कि तुम्हारे पास यह चीज़ अमानत रखता हूँ और वह ख़ामोश रहा मस्लन ह़माम में जाते हैं और कपड़े ह़मामी के पास रखकर अन्दर नहाने लिये चले जाते हैं और सराये में जाते हैं भटयारे से पूछते हैं घोड़ा कहाँ बाँधू उसने कहा यहाँ यह वदीअ़त होगई उसके ज़िम्मे हि़फ़ाज़त लाज़िम होगई यह नहीं कह सकता कि मैंने हि़फ़ाज़त का ज़िम्मा नहीं लिया था(आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– ह़मामी के सामने कपड़े रखकर नहाने को अन्दर चला गया, दूसरा शख़्स अन्दर से निकला, और उसके कपड़े पहनकर चला गया ह़मामी से जब उसने कहा तो कहने लगा मैंने समझा था कि उसी के कपड़े हैं इस सूरत में ह़मामी के ज़िम्मे तावान है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– कुछ लोग बैठे हुए थे उनके पास किताब रखकर चला गया और सब वहाँ से किताब छोड़कर चले गये और किताब जाती रही उन लोगों के ज़िम्मे तावान वाजिब है और अगर एक एक करके वहाँ उठे तो पिछला शख़्स ज़ामिन है कि हि़फ़ाज़त के लिये यह मुतअ़य्यन होगया था। (बहर)

मसअ्ला.5:– किसी के मकान में चीज़ बिग़ैर उसके कहे रखदी उसने हि़फ़ाज़त नहीं की चीज़ ज़ाइअ़ होगई। ज़मान नहीं यूँही उसने वदीअ़त कहकर दी उसने बुलन्द आवाज़ से कह दिया मैं हि़फ़ाज़त नहीं करूँगा वह चीज़ ज़ाइअ़ होगई उस पर तावान नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– वदीअत के लिये शर्त यह है कि वह माल इस क़ाबिल हो जो क़ब्ज़ा में आसके। लिहाज़ा भागे हुए गुलाम के मुताल्लिक़ कहदिया मैंने उसको वदीअत रखा या हवा में परिन्दा उड़ रहा है उसको वदीअत रखा, उनका ज़िमान वाजिब नहीं यह भी शर्त है कि जिसके पास अमानत रखी जाये वह मुकल्लफ़ हो तब हिफ़ाज़त वाजिब होगी अगर बच्चे के पास कोई चीज़ अमानत रखदी उसने हलाक करदी ज़िमान वाजिब नहीं। और ग़ुलाम महजूर के पास रखदी, उसने हलाक करदी तो आज़ाद होने के बाद उससे ज़िमान लिया जा सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– वदीअत का हुक्म यह है कि वह चीज़ मूदअ् के पास अमानत होती है उसकी हिफ़ाज़त मूदअ् पर वाजिब है और मालिक के तलब करने पर देना वाजिब होता है वदीअत क़बूल करना मुस्तहब है वदीअत हलाक होजाये तो उसका ज़िमान वाजिब नहीं। (बहर)

मसअ्ला.8:– वदीअत को न दूसरे के पास अमानत रख सकता है न आरियत या इजारा पर दे सकता है न उसको रहन रख सकता है इनमें से कोई काम करेगा तावान देना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– अमीन पर ज़िमान की शर्त कर देना कि यह चीज़ हलाक हुई तो तावान लूँगा यह बातिल है। मूदअ् को इख़्तियार है कि ख़ुद हिफ़ाज़त करे या अपनी आल से हिफ़ाज़त कराये जैसे वह ख़ुद अपने माल की हिफ़ाज़त करता है कि हर वक़्त उसे साथ नहीं रखता अहलो अयाल के पास छोड़कर बाहर जाया करता है अयाल से मुराद वह हैं जो उसके साथ रहते हों हक़ीक़तन उसके साथ हों या हुक्मन लिहाज़ा अगर समझ वाले बच्चे को देदी जो हिफ़ाज़त पर क़ादिर है या बीवी को देदी और यह दोनों उसके साथ न हों जब भी ज़िमान वाजिब नहीं यूँही औरत ने ख़ाविन्द की हिफ़ाज़त में चीज़ छोड़दी ज़ामिन नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– बीवी और नाबालिग़ बच्चा या ग़ुलाम यह अगरचे इसके साथ न रहते हों मगर अयाल में शुमार होंगे फ़र्ज़ करो, यह शख़्स एक मोहल्ला में रहता है और उसकी ज़ौजा दूसरे मोहल्ले में रहती है और उसको नफ़्क़ा भी नहीं देता है फिर भी अगर वदीअत ऐसी ज़ौजा को सिपुर्द करदी और तल्फ़ होगई तावान लाज़िम नहीं होगा और बालिग़ लड़का या माँ बाप जो उसके साथ रहते हों उनको वदीअत सिपुर्द कर सकता है और साथ न रहते हों तो नहीं सिपुर्द कर सकता तल्फ़ होने पर ज़िमान लाज़िम होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– ज़ौजा का लड़का जो दूसरे शौहर से है जबकि उसके साथ रहता है तो अयाल में है उसके वदीअत को छोड़ सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– जो शख़्स उसकी अयाल में है उसकी हिफ़ाज़त में अमानत को उस वक़्त रख सकता है जब यह अमीन हो अगर उसकी ख़्यानत मालूम हो और उसके पास छोड़दी, तावान देना होगा। उसने अपनी अयाल की हिफ़ाज़त में छोड़दी और वह अपने बाल बच्चों की हिफ़ाज़त में छोड़ दे यह भी जाइज़ हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.13:– मालिक ने मना कर दिया था अपनी अयाल में से फ़ुलाँ के पास मत छोड़ना ब'वजूद मुमानअत उसने इसके पास अमानत की चीज़ रखी अगर उससे बचना मुम्किन था कि उसके अलावा दूसरे ऐसे थे कि उनकी हिफ़ाज़त में रख सकता था तो ज़मान वाजिब है वरना नहीं(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.14:– दुकान में लोगों की वदीअतें थीं दुकानदार नमाज़ को चला गया और वह वदीअत ज़ाइअ् होगई तावान वाजिब नहीं कि दुकान में होना ही हिफ़ाज़त हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– अहलो अयाल के अलावा दूसरों की हिफ़ाज़त में चीज़ छोड़ने से या उनके पास वदीअत रखने से ज़िमान वाजिब है हाँ अगर ऐसों की हिफ़ाज़त में दी है जो ख़ुद उसके माल की हिफ़ाज़त करते हैं जैसे उसका वकील, और माज़ून और शरीक, जिसके साथ शिरकते मुफ़ावज़ा या शिरकते इनान है। इन सबकी हिफ़ाज़त में देना जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार, दुरर)

मसअ्ला.16:– नौकर की हिफ़ाज़त में वदीअत दे सकता है क्योंकि ख़ुद अपना माल भी इसकी

हिफ़ाज़त में देता है। (दुर्र)

मसअ्ला.17:– मूदअ् के मकान में आग लगगई अगर वदीअ़त दूसरे लोगों को नहीं देता है जल जाती है या कश्ती में वदीअ़त है और कश्ती डूब रही है अगर दूसरी कश्ती में नहीं फेंकता है डूब जाती है इस सूरत में दूसरे को देना या दूसरी कश्ती में फेंकना जाइज़ है बशर्ते कि अपनी अ़याल की हिफ़ाज़त में देना उस वक़्त मुम्किन न हो और अगर आग लगने की सूरत में उसके घर के लोग क़रीब ही में हैं कि उनको दे सकता है या कश्ती डूबने की सूरत में, उसके घर वालों की कश्ती पास में है उनको दे सकता है तो दूसरों को देना जाइज़ नहीं है देगा तो ज़िमान वाजिब होगा। (दुर्र)

मसअ्ला.18:– कश्ती डूब रही थी उसने दूसरी कश्ती में वदीअ़त फेंकी, मगर कश्ती में नहीं पहुँची बल्कि दरिया में गिरी, या कश्ती में पहुँच गई थी। मगर लुड़क कर दरिया में चली गई मूदा ज़ामिन है यूँही अगर क़स्दन उसने डूबने से नहीं बचाया इतना मौक़ा था कि दूसरी कश्ती में दे देता मगर ऐसा नहीं किया मकान में आग लगी थी मौक़ा था कि वदीअ़त को निकाल लेता और नहीं निकाली, इन सूरतों में ज़ामिन है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.19:– यह कहता है कि मेरे मकान में आग लगी थी या मेरी कश्ती डूब गई और पड़ोसी को देदी या दूसरी कश्ती में डालदी अगर आग लगना या कश्ती डूबना मालूम हो तो इसकी बात मक़बूल है और अगर मालूम न हो। तो गवाहों से साबित करना होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.20:– आग लगने की वजह से वदीअ़त पड़ोसी को देदी थी आग बुझने के बाद उससे वापस लेना ज़रूरी है अगर वापस न ली और उसके पास हलाक होगई तावान देना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.21:– मूदा का इन्तिक़ाल होरहा है और उसके पास इसकी अ़याल में से कोई मौजूद नहीं है जिसकी हिफ़ाज़त में वदीअ़त को देता इस हालत में उसने पड़ोसी की हिफ़ाज़त में देदी तो ज़मान वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

जिसकी चीज़ है वह तलब करता है तो रोकने का इख़्तियार नहीं

मसअ्ला.22:– जिसकी चीज़ थी उसने तलब की मूदा को मना करना जाइज़ नहीं बशर्ते कि उसके देने पर क़ादिर हो ख़ुद मालिक ने चीज़ मांगी या उसके वकील ने क़ासिद के मांगने पर न दी अगरचे कोई निशानी पेश करता हो उस वक़्त देने से आजिज़ है मसलन वदीअ़त यहाँ मौजूद नहीं है और जहाँ है वह जगह दूर है या देने में उसको अपनी जान या माल का अन्देशा है मसलन वदीअ़त को दफ़न कर रखा है इस वक़्त खोद नहीं सकता या वदीअ़त के साथ अपना माल भी मदफ़ून है। अन्देशा है कि मेरे माल का लोगों पता चल जायेगा इन सूरतों में रोकना जाइज़ है और अगर मालिक वापसी नहीं चाहता है वैसे ही कहता है वदीअ़त उठा लाओ यानी देखना मक़सूद है तो मूदा इससे इन्कार कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.23:– एक शख़्स ने तलवार अमानत रखी वह अपनी तलवार माँगता है और उस मूदा को मालूम होगया कि इस तलवार से नाहक़ तौर पर किसी को मारेगा तो तलवार न दे जब तक यह मालूम न होजाये कि उसने अपनी राय बदलदी अब उस तलवार को मुबाह काम के लिये माँगता है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.24:– एक दस्तावेज़ वदीअ़त रखी, और मूदा को मालूम है कि इसके कुछ मुतालबे वसूल हो चुके हैं और मूदा मरगया, इसके वुरसा मुतालबा पाने से इन्कार करते हैं इन वुरसा को यह दस्तावेज़ कभी न दे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.25:– औरत ने एक दस्तावेज़ वदीअ़त रखी जिसमें उसके शौहर के लिये किसी माल का इक़रार किया है या उसमें महर वुसूल पाने का औरत ने इक़रार किया है इसको रोकना जाइज़ है। क्योंकि उसके देने में शौहर का हक़ ज़ाइअ् होने का अन्देशा है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.26:– एक दस्तावेज़ दूसरे के नाम की किसी ने वदीअ़त रखी जिसके नाम की दस्तावेज़ है उसने दावा किया और दस्तावेज़ पर जिन लोगों की शहादत है वह कहते हैं जब तक हम दस्तावेज़

देख न लें गवाही नहीं देंगे क़ाज़ी मूदा को हुक्म देगा कि दस्तावेज़ गवाहों को दिखादो कि वह अपने दस्तख़त देखलें। मुद्दई को यानी जिसके नाम की दस्तावेज़ है। नहीं दे सकता कि मूदेअ् के सिवा दूसरे को वदीअत क्योंकर देगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.27:– किसी ने धोबी के पास दूसरे के हाथ धोने को कपड़ा भेजा फिर धोबी के पास कहला भेजा कि जो कपड़ा देगया था उसे मत देना अगर लाने वाले ने धोबी को कपड़ा देते वक़्त यह नहीं कहा था कि फुलाँ का कपड़ा है और धोबी ने उसे दे दिया तो ज़ामिन नहीं और उसके काम यह शख़्स नहीं करता और ब'वजूद मुमानअत धोबी ने उसे देदिया तो ज़ामिन है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.28:– मालिक ने मूदा से वदीअत तलब की उसने कहा इस वक़्त हाज़िर नहीं कर सकता हूँ। मालिक चलागया और मालिक का चला जाना न रज़ा'मन्दी और ख़ुशी से है और वदीअत हलाक होगई तो तावान नहीं कि यह दोबारा अमानत रखता है और अगर नाराज़ होकर गया तो हलाक होने पर मूदा को तावान देना होगा कि तलब के बाद रोकने की इजाज़त न थी और अगर मालिक के वकील ने माँगा और मूदा ने वही जवाब दिया तो यह राज़ी होकर जाये या नाराज़ होकर दोनों सूरतों में ज़िमान वाजिब है कि उसको जदीद ईदाअ् का इख़्तियार नहीं। (बहर)

मसअ्ला.29:– मालिक ने वदीअत माँगी मूदा ने कहा कल लेना दूसरे दिन यह कहता है कि वह जो तुम मेरे पास आये थे और मैंने इक़रार किया था उसके बाद वह वदीअत हलाक होगई इस सूरत में तावान नहीं और अगर यह कहता है कि उससे पहले वदीअत ज़ाइअ् होचुकी थी तो तावान वाजिब है। (बहर)

मसअ्ला.30:– मालिक ने मूदा से कहा वदीअत वापस करदो उसने इन्कार कर दिया या कहता है मेरे पास वदीअत रखी ही नहीं और उस चीज़ को जहाँ थी वहाँ से दूसरी जगह मुन्तक़िल कर दिया हालाँकि वहाँ कोई ऐसा भी न था जिसकी जानिब से अन्देशा हो कि उसे पता चल जायेगा तो वदीअत छीन लेगा और इन्कार के बाद वदीअत को हाज़िर भी नहीं किया और इसका यह इन्कार ख़ुद मालिक से हो उसके बाद वदीअत का इक़रार किया तो अब भी ज़ामिन है और अगर यह दावा करता है कि वह चीज़ तुमने मुझे सिपुर्द करदी थी या मैंने ख़रीदली थी इसके बाद वदीअत का इक़रार किया तो ज़ामिन नहीं रहा और अगर मालिक ने वदीअत वापस नहीं मांगी सिर्फ़ उसका हाल पूछा कि किस हालत में है उसने इन्कार करदिया कि मेरे पास वदीअत नहीं रखी है फिर इक़रार किया तो ज़मान नहीं और अगर उसको वहाँ से मुन्तक़िल नहीं किया जब भी ज़ामिन नहीं और अगर इन्कार के बाद चीज़ को हाज़िर कर दिया कि मालिक ले सकता था मगर नहीं ली कह दिया कि इसे तुम अपने ही पास रखो तो यह जदीद ईदाअ् है और ज़ामिन नहीं और मालिक के सिवा दूसरे लोगों से इन्कार किया जब भी ज़ामिन नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, बहर)

मसअ्ला.31:– वदीअत से मूदा ने इन्कार कर दिया यानी यह कहा कि मेरे पास तुम्हारी वदीअत नहीं है उसके बाद यह दावा करता है कि मैंने तुम्हारी वदीअत वापस करदी थी और उसके गवाह क़ायम किये, यह गवाह मक़बूल हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.32:– वदीअत रखकर ग़ायब होगया उसकी औरत मूदा से कहती है। मेरा नफ़का वदीअत में से देदो उसने वदीअत ही से इन्कार करदिया उसके बाद इक़रार करता है और कहता है। वदीअत ज़ाइअ् होगई तो उसके ज़िम्मे तावान है यूँही यतीमों के वली और पड़ोसियों ने वसी से कहा कि इन बच्चों का जो कुछ तुम्हारे पास है इनपर ख़र्च करो वसी ने कहा मेरे पास इनका कोई माल नहीं है फिर माल का इक़रार किया और कहता है कि तुम्हारे कहने के बाद ज़ाइअ् होगया तो वसी पर तावान लाज़िम है। (ख़ानिया)

मसअ्ला.33:– वदीअत रखने वाले के मकान पर वदीअत लाकर रख गया या उसके बाल बच्चों को देगया और वदीअत ज़ाइअ् होगई तो मूदा पर तावान लाज़िम है और अपनी अ़याल के हाथ उसके

पास भेजदी, और ज़ाइअ् होगई तो ज़मान नहीं और अगर अपने बालिग़ लड़के के हाथ भेजी जो उसकी अ़याल में नहीं है तो ज़ामिन है और ना'बालिग़ लड़के के हाथ भेजी तो अगरचे इसकी अ़याल में न हो ज़ामिन नहीं जबकि यह नबालिग़ बच्चा ऐसा न हो कि हिफ़ाज़त करना जानता हो और चीज़ों की हिफ़ाज़त करता हो वरना तावान लाज़िम होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– वदीअ़त रखने वाला ग़ायब होगया मालूम नहीं ज़िन्दा है या मरगया तो वदीअ़त को महफ़ूज़ ही रखना होगा जब मौत का इल्म होजाये और वुरसा भी मालूम हैं तो वुरसा को देदे मालूम न होने की सूरत में वदीअ़त को सदक़ा नहीं कर सकता और लुक़्ता में मालिक को पता न चले तो सदक़ा करने का हुक्म है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.35:– वदीअ़त रखने वाला मरगया और उसपर दैन मुस्तग़रक़ (इतना कर्ज कि अदा करने के बाद उसके पास कुछ न बचे) न हो तो वदीअ़त वुरसा को देदे और दैन मुस्तग़रक़ हो तो यह वदीअ़त हक़्के ग़ुरबा है इस सूरत में वुरसा को नहीं दे सकता देगा तो ग़ुरबा इस मूदा से तावान लेंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.36:– जिसके पास वदीअ़त थी कहता है कि मैंने तुम्हारे पास वदीअ़त भेजदी और जिसके हाथ भेजना बताता है वह उसकी अ़याल में है तो उसका क़ौल मोअ्तबर है और अजनबी के हाथ भेजना बताता है और मालिक इन्कार करता है कहता है मुझको ख़बर नहीं मिली तो मूदा ज़ामिन है हाँ अगर मालिक इक़रार करले या मूदा गवाहों से इसके पास भेजना साबित करदे तो ज़ामिन नहीं(आलमगीरी)

मसअ्ला.37:– ग़ासिब ने मग़सूब को वदीअ़त रखदिया था मूदा ने ग़ासिब के पास चीज़ वापस करदी। यह मूदा ज़िमान से बरी होगया। (आलमगीरी)

वदीअ़त की तजहील

मसअ्ला.38:– मूदा का इन्तिक़ाल होगया और उसने वदीअ़त के मुताल्लिक़ तजहील की है (साफ़ बयान नहीं किया जिससे मालूम हो सके, फ़ुलाँ फ़ुलाँ चीज़ अमानत है और वह फ़ुलाँ जगह है।) यह भी मना करने के माना में है और इस सूरत में वदीअ़त का तावान लिया जायेगा और उसके तर्का में से बतौर दैन वसूल किया जायेगा। हाँ अगर उसका बयान न करना इस वजह से हो कि वुरसा को मालूम हो कि फ़ुलाँ चीज़ वदीअ़त है बयान करने की क्या ज़रूरत है तो तावान वाजिब नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.39:– मूदा मरगया और अमानत हलाक होगई मूदेअ् कहता है कि मूदअ् ने तजहील की है लिहाज़ा तावान वाजिब है वारिस् कहता है मुझे मालूम था अगर वारिस् ने उन चीज़ों को बयान कर दिया कि फ़ुलाँ फ़ुलाँ चीज़ मूरिस् के पास वदीअ़त थी वारिस का क़ौल मोअ्तबर है यानी मूदा के मरने के बाद वारिस् उसके क़ायम मक़ाम है उससे ज़िमान नहीं लिया जायेगा सिर्फ़ एक बात में फ़र्क़ है वारिस् ने चोर को वदीअ़त बतादी ज़ामिन नहीं है और मूदा ने बताई तो ज़ामिन है मगर जबकि उसे लेने से बक़द्र ताक़त मना करे। (दुर्रेमुख़्तार, बहर)

मसअ्ला.40:– वुरसा कहते हैं वदीअ़त उसने अपनी ज़िन्दगी में वापस करदी थी। उनका क़ौल मक़बूल नहीं बल्कि गवाहों से वापसी को साबित करना होगा। साबित न करने पर मय्यित के माल से तावान वसूल किया जायेगा और अगर वुरसा ने गवाहों से साबित किया कि मूदा ने अपनी ज़िन्दगी में यह कहा था कि वदीअ़त वापस कर चुका हूँ तो यह गवाह मक़बूल होंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.41:– वदीअ़त के अ़लावा दीगर अमानतों पर भी यही हुक्म है कि तजहील करके मर जायेगा तो उसका तावान वाजिब होजायेगा अमानत बाक़ी नहीं रहेगी सिर्फ़ बाज़ अमानतों का इससे इस्तिस्ना है। (1)मुतवल्ली मस्जिद जिसके पास वक़्फ़ की आमदनी थी और बिग़ैर बयान किये मर गया। (2)क़ाज़ी ने यतामा के अमवाल अमानत रखे और बिग़ैर बयान किये मरगया यह नहीं बताया, कि किसके पास अमानत है और क़ाज़ी ने ख़ुद अपने यहाँ रखा था और बिग़ैर बयान मरगया तो ज़ामिन है इसके तर्के से वुसूल करेंगे मगर क़ाज़ी ने अगर कहदिया था कि माल मेरे पास ज़ाइअ् होगया या मैंने यतीम पर ख़र्च करडाला तो इस पर ज़मान नहीं। (3)सुल्तान ने अम्वाले ग़नीमत बाज़

ग़ाज़ियों के पास अमानत रखे और मरगया और यह बयान नहीं किया कि किसके पास हैं। (4)दो शख़्सों में शिरकते मुफ़ावज़ा थी उनमें से एक मर गया और जो कुछ अम्वाल उसके क़ब्ज़े में थे उनको बयान नहीं किया। (बहर, आलमगीरी)

मसअ्ला.42:– मुदा मजनून होगया और जुनून भी मुतबक़ है और उसके पास बहुत कुछ अम्वाल हैं। वदीअ़त तलाश की गई मगर नहीं मिली और उसकी उम्मीद भी नहीं है कि उसकी अ़क़्ल ठीक होजायेगी तो क़ाज़ी किसी को मजनून का वली मुक़र्रर करेगा वह मजनून के माल से वदीअ़त अदा करेगा जिसको देगा उससे ज़ामिन ले लेगा फिर अगर वह मजनून अच्छा होगया और कहता है 'मैंने वदीअ़त वापस करदी थी या जाइअ् होगई या कहता है मुझे मालूम नहीं क्या हुई उस पर हल्फ़ दिया जायेगा बा़दे हल्फ़ जो कुछ माल उसको दिया गया है वापस लिया जायेगा। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.43:– मूदा ने वदीअ़त अपनी औ़रत को देदी और मरगया तो औ़रत से मुता़लबा होगा। अगर औ़रत कहती है चोरी होगई या ज़ाइअ् होगई तो क़सम के साथ औ़रत की बात मोअ्तबर है और उसका मुता़लबा अब किसी से न होगा और अगर औ़रत कहती है मैंने मरने से पहले शौहर को वापस देदी थी तो उसकी बात मोअ्तबर है और औ़रत को जो कुछ तर्का मिला है उसमें से वदीअ़त का तावान लिया जायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.44:– खुद मरीज़ से पूछागया कि तुम्हारे पास फुलाँ की वदीअ़त थी वह क्या हुई उसने कहा मैंने अपनी औ़रत को देदी है उसके मरने के बा़द औरत से पूछागया औ़रत कहती है मुझे उसने नहीं दी है इस सूरत में औ़रत पर हल्फ़ दियाजायेगा और हल्फ़ करले तो मुता़लबा न होगा(आलमगीरी)

मसअ्ला.45:– मुज़ारिब ने यह कहा कि मैंने माले मुज़ारबत फुलाँ के पास वदीअ़त रख दिया है यह कहकर मरगया तो न मुज़ारिब के माल से लिया जा सकता है न उसके वुरस़ा से और जिसका उसने नाम लिया है वह इन्कार करता है तो क़सम के साथ उसकी बात मानली जायेगी और अगर यह शख़्स भी मरगया और उसने वदीअ़त के मुता़ल्लिक़ कुछ बयान नहीं किया और उसके पास वदीअ़त रखना सिर्फ़ मुज़ारिब के कहने ही से मा़लूम हुआ और कोई सुबूत नहीं है तो उसके तर्के से वुसूल नहीं की जा सकती और अगर गवाहों से उसके पास वदीअ़त रखना स़ाबित है या उसने ख़ुद इक़रार किया है कि मेरे पास मुज़ारिब ने वदीअ़त रखी है और मुज़ारिब मरगया फिर वह शख़्स भी मरगया तो उसके माल से वदीअ़त वुसूल की जायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.46:– एक शख़्स के पास एक हज़ार रूपये वदीअ़त के हैं उन रूपयों के दो शख़्स दावेदार हैं. हर एक कहता है मैंने इसके पास वदीअ़त रखे हैं और मूदा कहता है तुम दोनों में से एक ने वदीअ़त रखे हैं मैं यह नहीं मोअ़य्यन करके बता सकता कि किसने रखे हैं तो अगर वह दोनों मुद्दई इस बात पर सुलह व इत्तिफ़ाक़ करलें कि हम दोनों यह रूपये बराबर बांट लें तो ऐसा कर सकते हैं और मूदा देने से इन्कार नहीं कर सकता उसके बा़द न मूदा से मुता़लबा हो सकता है न उस पर हल्फ़ दिया जा सकता। और अगर दोनों सुलह नहीं करते बल्कि हर पूरे हज़ार को लेना चाहता है तो मूदा से दोनों ह़ल्फ़ ले सकते हैं फिर अगर दोनों के मुक़ाबिल में उसने ह़ल्फ़ कर लिया तो दोनों का दावा ख़त्म होगया और अगर दोनों के मुक़ाबिल में क़सम से इन्कार कर दिया उस हज़ार को दोनों बांट लें और एक दूसरे हज़ार का उस पर तावान होगा जो दोनों बराबर लेलेंगे और अगर एक के मुक़ाबिल में ह़ल्फ़ कर लिया दूसरे के मुक़ाबिल में क़सम से इन्कार कर दिया तो जिसके मुक़ाबिल में क़सम से इन्कार किया है वह हज़ार लेले और जिसके मुक़ाबिल में ह़ल्फ़ कर लिया है उसका दावा साक़ित़। (आलमगीरी)

मसअ्ला.47:– वदीअ़त को अपने माल या दूसरे के माल में बिना इजाज़ते मालिक इस त़रह मिला देना कि इम्तियाज़ बाक़ी न रहे या बहुत दुश्वारी से जुदा किये जा सकें यह भी मूजिबे ज़मान है। दोनों माल एक क़िस्म के हों जैसे रूपये को रूपये में मिला दिया, गेहूँ को गेहूँ में, जौ को जौ में या

दोनों मुख़्तलिफ़ जिन्स के हों मसलन गेहूं को जौ में मिला दिया इसमें अगरचे इम्तियाज़ और जुदा करना मुमकिन है मगर बहुत दुश्वार है इस तरह पर मिला देना चीज़ को हलाक कर देना है मगर जब तक ज़मान अदा न करे उसका खाना जाइज़ नहीं यानी पहले ज़मान अदा करदे उसके बाद यह मख़्लूत चीज़ ख़र्च करे। (दुर्रेमुख़्तार, वग़ैरहा)

मसअला.48:– एक ही शख़्स ने गेहूं और जौ दोनों को वदीअत रखा है जब भी मिला देना जाइज़ नहीं तो तावान लाज़िम होगा। (आलमगीरी)

मसअला.49:– मालिक की इजाज़त से उसने दूसरी चीज़ के साथ ख़लत किया या उसने खुद नहीं मिलाया, बल्कि बिग़ैर उसके फ़ेअ्ल के दोनों चीज़ें मिलगईं मसलन दो बोरियों में ग़ल्ला था बोरियां फट गईं ग़ल्ला मिलगया, या सन्दूक़ में दो थैलियों में रूपये रखे थे थैलियाँ फटगईं और रूपये मिल गये इन दोनों सूरतों में बाहम शरीक होगये अगर उसमें से कुछ ज़ाइअ् होगा तो दोनों का ज़ाइअ् होगा जो बाक़ी है उसे हिस्से के मुताबिक़ तक़सीम करलें मसलन एक हज़ार रूपये थे दूसरे के दो हज़ार तो जो कुछ बाक़ी हैं उसके तीन हिस्से करके पहला शख़्स एक हिस्सा लेले और दूसरा शख़्स दो हिस्से। (बहर, आलमगीरी)

मसअला.50:– मूदा के सिवा किसी दूसरे शख़्स ने ख़लत कर दिया अगरचे वह नाबालिग़ हो अगरचे वह शख़्स हो जो मूदा की अयाल में हो वह ख़लत करने वाला ज़ामिन है मूदा ज़ामिन नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.51:– वदीअत रूपया या अशरफ़ी है या मकील व मौज़ून (नापने वाली, व तोलने वाली चीजें) है। मूदा ने उसमें से कुछ ख़र्च कर डाला तो जितना रूपया ख़र्च किया है उतने ही का ज़ामिन है। जो बाक़ी है उसका ज़ामिन नहीं यानी जो बाक़ी है अगर ज़ाइअ् होजाये तो उसका तावान लाज़िम नहीं और ख़र्च करने के लिये निकाला था मगर ख़र्च नहीं किया फिर उसी में शामिल कर दिया तो तावान लाज़िम नहीं और अगर जितना वदीअत में से ख़र्च कर डाला था उतना ही बाक़ी में मिला दिया कि इम्तियाज़ जाता रहा मसलन सौ रूपये में से दस ख़र्च कर डाले थे फिर दस रूपये बाक़ी में मिला दिये तो कुल का ज़ामिन होगया क्योंकि अपने माल को मिलाकर वदीअत को हलाक करदिया और अगर इस तरह मिलाया है कि इम्तियाज़ बाक़ी है मसलन रूपये थे और कुछ नोट या अशर्फ़ियाँ रूपये ख़र्च करडाले फिर इतने ही रूपये शामिल करदिये या जो कुछ मिलाया उसमें निशान बना दिया है कि जुदा किया जा सकता है या ख़र्च किया और उसमें शामिल नहीं किया या दो वदीअतें थीं मसलन एक मरतबा उसने दस रूपये दिये दूसरी मरतबा फिर दस दिये और उनमें से एक वदीअत को ख़र्च करडाला इन सब सूरतों में सिर्फ़ उसका ज़ामिन है जो ख़र्च किया है यह उस चीज़ में है जिसके टुकड़े करना मुज़िर न हो मसलन दस सेर गेहूँ थे उनमें से पाँच सेर ख़र्च किये और वह ऐसी चीज़ हो जिसके टुकड़े करना मुज़िर हो मसलन एक अचकन का कपड़ा था या कोई ज़ेवर था उसमें से एक टुकड़ा ख़र्च करडाला तो कुल का ज़ामिन है। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअला.52:– जिस शख़्स ने मिलाया है वह ग़ायब होगया उसका पता नहीं कि कहाँ है तो अगर दोनों मालिक इस पर राज़ी होजायें कि उनमें का एक शख़्स उस मख़्लूत चीज़ को लेले और दूसरे को उस चीज़ की क़ीमत देदे यह हो सकता है और इस पर राज़ी न हों तो मख़्लूत चीज़ को बेचकर हर एक अपनी अपनी चीज़ की क़ीमत पर समन को तक़सीम करके लेले। (आलमगीरी)

मसअला.53:– वदीअत पर तअद्दी की यानी उसमें बेचा, तसर्रुफ़ किया, मसलन कपड़ा था उसे पहन लिया, घोड़ा था उस पर सवार हो गया, गुलाम था उससे ख़िदमत ली, या उसे दूसरे के पास वदीअत रख दिया इन सब सूरतों में उस पर ज़मान है मगर जब इस हरकत से बाज़ आया यानी उसको हिफ़ाज़त में लेआया और यह नियत है कि अब ऐसा नहीं करेगा तो तअद्दी करने से जो ज़मान का हुक्म आगया था वह ज़ाइल (ख़त्म) होगया यानी अगर अब चीज़ ज़ाइअ् होजाये तो तावान नहीं मगर इस्तेमाल से चीज़ में नुक़सान पैदा होजाये तो तावान देना होगा और अगर अब भी नियत

यह हो कि फिर ऐसा करेगा मस्लन रात में कपड़ा उतार दिया और नियत यह है कि सुबह को फिर पहनेगा तो ज़मान का हुक्म ब'दस्तूर बाक़ी है यानी मस्लन रात ही में वह कपड़ा चोरी होगया तावान देना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.54:– मुस्तईर (उधार लेने वाला) और मुस्ताजिर (ठेकेदार) ने तअ़द्दी की फिर उससे बाज़ आये तो ज़मान से बरी नहीं जब तक मालिक के पास चीज़ पहुँचा न दे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.55:– (1)मूदा (2)बैअ् का वकील, और (3)हिफ़्ज़ का वकील (4)उजरत पर देने, (5)और उजरत पर लेने का वकील, यानी उसको वकील किया था कि इस चीज़ को किराये पर दे या किराये पर ले और उसने खुद इस चीज़ को इस्तेमाल किया फिर इस्तेमाल छोड दिया और (6)मुज़ारिब (7)मुस्जबज़ेअ् यानी मुज़ारिब ने चीज़ को इस्तेमाल किया फिर इस्तेमाल तर्क किया और (8)शरीके इ़नान और (9)शरीके मुफाविज़ा और (10)रहन के लिए आ़रियत लेने वाला कि एक चीज़ आ़रियत पर ली थी कि उसे रहन रखेगा और खुद इस्तेमाल की फिर रहन रखदी यह दस क़िस्म के अश्ख़ास तअ़द्दी करने वाले अगर तअ़द्दी से बाज़ आजायें तो ज़मान से बरी होजाते हैं और इनके अ़लावा जो अमीन तअ़द्दी करेगा वह ज़ामिन होगा अगरचे तअ़द्दी से बाज़ आजाये।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.56:– मूदा को यह इख़्तियार है कि वदीअ़त को अपने हमराह सफ़र में लेजाये अगरचे इसमें बार'बर्दारी सर्फ़ करनी पड़े बशर्ते कि मालिक ने सफ़र में लेजाने से मना न किया हो और लेजाने में उससे हलाक होने का अन्देशा भी न हो और अगर मालिक ने मना करदिया हो या लेजाने में अन्देशा हो और सफ़र में जाना ज़रूरी है और तन्हा सफ़र किया और वदीअ़त को भी लेगया, ज़ामिन है और बाल बच्चों के साथ सफ़र किया तो ज़ामिन नहीं। दरियाई सफ़र ख़ौफ़नाक है कि इसमें ग़ालिब हलाक है। (दुर्रेमुख़्तार, बहर)

मसअ्ला.57:– दो शख़्सों ने मिलकर वदीअ़त रखी इनमें से एक अपना हिस्सा मांगता है दूसरे की अ़दम मौजूदगी में देना जाइज़ नहीं और अगर देदेगा तो ज़ामिन नहीं और एक ने क़ाज़ी के पास दावा किया कि मेरा हिस्सा दिलाया जाये तो क़ाज़ी देने का हुक्म नहीं देगा। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.58:– दो शख़्सों ने वदीअ़त रखी थी एक ने मूदा से कहा कि मेरे शरीक को सौ रूपये दे दो उसने देदिये इसके बाद बक़िया रक़म ज़ाइअ् होगई तो जो शख़्स सौ रूपये ले चुका है उसमें से यह तन्हा उसी के हैं उसका साथी उनमें से निस्फ़ नहीं ले सकता और अगर यह कहा था कि इसमें आधी रक़म इसको देदो और बक़िया रक़म ज़ाइअ् होगई तो साथी जो निस्फ़ लेचुका है। उसमें से यह निस्फ़ लेसकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.59:– दो शख़्सों ने एक शख़्स के पास पचास हज़ार रूपये वदीअ़त रखे, मूदा मरगया और एक बेटा छोड़ा, उन दोनों में एक यह कहता है कि बाप के मरने के बाद उस लड़के ने वदीअ़त हलाक करदी। दूसरे ने कहा मालूम नहीं वदीअ़त क्या हुई तो जिसने बेटे को हलाक करना बताया उसने मूदा को बरी करदिया यानी उसके क़ौल का मतलब यह हुआ कि मरने वाले ने वदीअ़त को बि'ऐनेही क़ायम रखा और बेटे से ज़मान लेना चाहता है तो बिग़ैर सुबूत इसकी यह बात क्योंकर मानी जा सकती है लिहाज़ा बेटे पर तावान का हुक्म नहीं होसकता और दूसरा शख़्स जिसने कहा मालूम नहीं, वदीअ़त क्या हुई। उसको मय्यित के माल से पाँचसौ दिलाये जायेंगे क्योंकि वह मय्यित पर तजहीले वदीअ़त का इल्ज़ाम रखता है और इस सूरत में माले मय्यित से तावान दिलाने का हुक्म होता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.60:– मूदा ने वदीअ़त रखने ही से इन्कार करदिया या मालिक ने गवाहों से वदीअ़त रखना साबित करदिया इसके बाद मूदा गवाह पेश करता है कि वदीअ़त ज़ाइअ् होगई। मूदा के गवाह ना'मक़बूल हैं और उसके ज़िम्मे तावान लाज़िम चाहे उसके गवाहों से इन्कार के बाद ज़ाइअ् होना साबित हो या इन्कार से क़ब्ल बहर सूरत तावान देना होगा और अगर वदीअ़त रखने से मूदा ने

इन्कार नहीं किया था बल्कि यह कहा था कि मेरे पास तेरी वदीअत नहीं है और गवाहों से ज़ाइअ् होना साबित किया। अगर गवाहों से यह साबित हो कि इसके कहने से पहले ज़ाइअ् हुई तो तावान नहीं और अगर उसके कहने के बाद ज़ाइअ् होना गवाहों ने बयान किया तो तावान लाज़िम है और गवाहों से मुतलक़न ज़ाइअ् होना साबित हुआ या पहले या बाद नहीं साबित है जब भी ज़ामिन है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.61:– वदीअत से मूदा ने इन्कार कर दिया, उसके बाद वदीअत वापस करदी और उसको गवाहों से साबित कर दिया तो गवाह मक़बूल हैं और यह बरी और गवाहों से साबित किया कि इन्कार से पहले ही वदीअत देदी थी और यह कहता है कि मैंने इन्कार करने में ग़लती की मैं भूल गया था तो यह गवाह भी मक़बूल हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.62:– मूदा कहता है मैंने वदीअत वापस करदी, चन्द रोज़ के बाद कहता है ज़ाइअ् होगई उस पर तावान लाज़िम है और अगर कहा ज़ाइअ् होगई फ़िर चन्द रोज़ के बाद कहता है मैंने वापस करदी मैंने ग़लती से ज़ाइअ् होना कह दिया इस सूरत में भी तावान है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.63:– मूदा कहता है वदीअत हलाक होगई और मालिक उसकी तकज़ीब करता है मालिक कहता है इस पर हल्फ़ दिया जाये हल्फ़ दिया गया उसने क़सम खाने से इन्कार कर दिया इससे साबित हुआ कि चीज़ इसके यहाँ मौजूद है लिहाज़ा इसको क़ैद किया जायेगा उस वक़्त तक कि चीज़ देदे या साबित करदे, कि चीज़ नहीं बाक़ी रही। (आलमगीरी)

मसअ्ला.64:– किसी के पास वदीअत रखकर परदेस चलागया वापस आने के बाद अपनी चीज़ मांगता है मूदा कहता है तुमने अपने बाल बच्चों पे ख़र्च करदेने के लिये कहा था मैंने ख़र्च करदी। मालिक कहता है मैंने ख़र्च करने को नहीं कहा था मालिक का क़ौल मोअ्तबर है। यूँही अगर मूदा यह कहता है कि तुमने मसाकीन पर ख़ैरात करने को कहा था मैंने ख़ैरात करदी या फ़ुलाँ शख़्स को हिबा करने को कहा था मैंने हिबा करदिया मालिक कहता है मैंने नहीं कहा था इसमें भी मालिक का क़ौल मोअ्तबर है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.65:– किसी के पास रूपये वदीअत रखे मालिक उससे कहता है मैंने फ़ुलाँ शख़्स को हुक्म देदिया था कि वह तुम्हारे पास से रूपये लेले फिर मैंने उसे मना कर दिया मूदा कहता है वह तो ले भी गया उस शख़्स से पूछा गया तो कहने लगा मैं न मूदा के पास गया न मैंने रूपये लिये। मूदा की बात मोअ्तबर है उसपर ज़मान लाज़िम नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.66:– मूदा ने वदीअत से इन्कार कर दिया फिर उस मूदेअ् ने उसके पास उसी जिन्स की वदीअत रखी यह शख़्स अपने मुतालबे में उस वदीअत को रोक सकता है और अगर उस पर क़सम दीजाये तो यूँ क़सम खाये कि उसकी फ़ुलाँ चीज़ मेरे ज़िम्मे नहीं है यह क़सम न खाये कि इसने वदीअत नहीं रखी है कि यह क़सम झूठी होगी यूँही अगर उसका किसी के ज़िम्मे दैन था मद्यून ने दैन से इन्कार करदिया फिर मद्यून ने उसी जिन्स की चीज़ वदीअत रखी अपने दैन में उसे रोक सकता है और अगर वदीअत उस जिन्स की चीज़ न हो तो नहीं रोक सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.67:– एक शख़्स ने पचास रूपये क़र्ज़ माँगे उसने ग़लती से पचास की जगह साठ दे दिये। उसने मकान पर आकर देखा कि दस ज़ाइद हैं वापस करने को दस लेगया रास्ते में यह ज़ाइअ् होगये इस पर पाँच सुदुस का ज़मान है और एक सुदुस यानी दस रूपये में से छटे हिस्से का ज़मान नहीं क्योंकि जो रूपये उसने ग़ल्ती से दिये वह उस के पास वदीअत हैं और वह कुल का छटा हिस्सा है लिहाज़ा इन दस का छटा हिस्सा भी वदीअत है सिर्फ़ इस छटे हिस्से का ज़मान वाजिब नहीं और अगर कुल रूपये ज़ाइअ् हुए तो पचास ही रूपये उसके ज़िम्मे वाजिब हैं क्योंकि दस वदीअत हैं उनका तावान नहीं यूँही अगर किसी के ज़िम्मे पचास रूपये बाक़ी थे उसने ग़लती से साठ लेलिये दस रूपये वापस करने जा रहा था रास्ते में ज़ाइअ् होगये तो पाँच सुदुस का ज़मान उस पर वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.68:– शादी में रूपये पैसे निछावर करने के लिये किसी को दिये तो यह शख़्स अपने लिये

उनमें से बचा नहीं सकता और न ख़ुद गिरे हुए को लूट सकता है और यह भी नहीं कर सकता कि दूसरे को लुटाने के लिये देदे। शकर और छुआरे जो लुटाने के लिये दिये जाते हैं। उनका भी यही हुक्म है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.69:– मुसाफ़िर किसी के मकान पर मरगया उसने कुछ थोड़ासा माल दो तीन रूपये का छोड़ा और उसका कोई वारिस् मा़लूम नहीं और जिसके मकान पर मरा है यह फ़क़ीर है इस माल को अपने लिये यह शख़्स रख सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.70:– एक शख़्स ने दो शख़्सों के पास वदीअ़त रखी अगर वह चीज़ क़ाबिले क़िस्मत (तक़सीम के लायक़) है दोनों इस चीज़ को तक़सीम करलें हर एक अपने हिस्से की हिफ़ाज़त करेगा अगर ऐसा नहीं किया बल्कि इनमें से एक ने दूसरे के सिपुर्द करदी तो यह देने वाला ज़ामिन है। और अगर वह चीज़ तक़सीम के क़ाबिल नहीं तो इनमें से एक दूसरे के सिपुर्द कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.71:– मूदेअ् ने कह दिया था कि वदीअ़त को दुकान में न रखना क्योंकि उसमें से ज़ाइअ् होने का अन्देशा है अगर मूदा़ के लिये कोई दूसरी जगह उससे ज़्यादा महफ़ूज़ है और यह इस पर क़ादिर भी था कि उठाकर वहाँ लेजाता और न लेगया और दुकान से वह चीज़ रात में चोरी होगई तो ज़मान देना होगा और कोई दूसरी जगह हिफ़ाज़त की उसके पास नहीं या उस वक़्त चीज़ को लेजाने पर क़ादिर न था तो ज़ामिन नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.72:– मालिक ने यह कह दिया है कि इस चीज़ को अपनी अ़याल के पास न छोड़ना या इस कमरे में रखना और मूदा़ ने ऐसे को दिया जिसके देने से चारा न था मस्लन ज़ेवर था बीवी को देने से मना़ किया था उसने बीवी को देदिया घोड़ा था गुलाम को देने से मना़ किया था उसने ग़ुलाम को देदिया और इस कमरे के सिवा दूसरे कमरे में रखी और दोनों कमरे हिफ़ाज़त के लिहाज़ से यकसाँ हैं या यह इससे भी ज़्यादा महफ़ूज है और वदीअ़त ज़ाइअ् होगई तावान लाज़िम नहीं। और अगर यह बातें न हों मस्लन ज़ेवर ग़ुलाम को देदिया घोड़ा बीवी की हिफ़ाज़त में दिया या वह कमरा इतना महफ़ूज नहीं है तो तावान देना होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.73:– मूदेअ् ने कहा इस थैली में न रखना उसमें रखना या थैली में रखना स़न्दूक़ में न रखना या स़न्दूक़ में रखना इस घर में न रखना और उसने वह किया जिससे मूदेअ् ने मना़ किया था। इन सूरतों में ज़मान वाजिब नहीं। (आलमगीरी) **क़ायदा कुल्लिया** इस बाब में यह है कि अमानत रखने वाले ने अगर ऐसी शर्त लगाई जिसकी रिआ़यत मुम्किन है और मुफ़ीद भी हो तो उसका एअ़्तिबार है और ऐसी न हो तो उसका एअ़्तिबार नहीं मस्लन यह शर्त कि इसे अपने हाथ में लिये रहना। किसी जगह न रखना या दाहिने हाथ में रखना बाएं में न रखना या इस चीज़ को दाहिनी आँख से देखते रहना बाईं आँख से न देखना इस किस्म की शर्तें बेकार हैं इन पर अ़मल करना कुछ जरूरी नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.74:– एक शख़्स के पास वदीअ़त रखी उसने दूसरे के पास रखदी और ज़ायेअ् (बर्बाद) होगई तो फ़क़त मूदा़ से ज़मान लेगा दूसरे से नहीं लेसकता और अगर दूसरे को दी और वहाँ से अभी मूदा़ जुदा नहीं हुआ है कि हलाक होगई तो मूदा़ से भी ज़मान नहीं ले सकता। (हिदाया)

मसअ्ला.75:– मालिक कहता है कि दूसरे के यहाँ से हलाक हुई और मूदा़ कहता है उसने मुझे वापस करदी थी मेरे यहाँ से जाइअ् हुई मूदा़ की बात नहीं मानी जायेगी और अगर मूदा़ से किसी ने ग़सब की होती और मालिक कहता ग़ासिब के यहाँ हलाक हुई और मूदा़ कहता कि उसने वापस करदी थी मेरे यहाँ हलाक हुई तो मूदा़ की बात मानी जाती। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.76:– एक शख़्स को हज़ार रूपये दिये कि फुलाँ शख़्स को जो फुलाँ शहर में है, देदेना उसने दूसरे को देदिये कि तुम उस शख़्स को देदेना और रास्ते में रूपये जाइअ् होगये अगर देने वाला मरगया है तो मूदा़ पर तावान नहीं है कि यह वसी है और अगर ज़िन्दा है तो तावान है कि वकील है हाँ अगर वह शख़्स जिसको रूपये दिये हैं उसकी अ़याल में है तो ज़ामिन नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.77:– धोबी ने ग़लती से एक का कपड़ा दूसरे को देदिया उसने क़ता कर डाला दोनों ज़ामिन हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.78:– जानवर को वदीअ़त रखा था वह बीमार हुआ इलाज कराया और इलाज से हलाक होगया मालिक को इख़्तियार है जिससे चाहे तावान ले मूदा से भी तावान ले सकता है और मुआलिज से भी अगर मुआलिज से तावान लिया। ब'वक़्ते इलाज उसको मालूम न था कि यह दूसरे का है। मुआलिज मूदा से वापस लेसकता है और अगर मालूम था तो नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.79:– ग़ासिब ने किसी के पास मग़सूब चीज़ वदीअ़त रखी और हलाक होगई मालिक को इख़्तियार है दोनों में से जिससे चाहे ज़मान ले। अगर मूदा से तावान लिया वह ग़ासिब से रुजूअ् कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.80:– एक शख़्स को रूपये दिये कि इनको फुलाँ शख़्स को आज ही देदेना उसने नहीं दिये और जाइअ् होगये तावान लाज़िम नहीं इसलिये कि उसपर उसी रोज़ देना लाज़िम न था। यूँही मालिक ने यह कहा कि वदीअ़त मेरे पास पहुँचा जाना उसने कहा पहुँचादूँगा और नहीं पहुँचाया इसके पास से जाइअ् होगई तावान वाजिब नहीं क्योंकि मूदा के जिम्मे यहाँ लाकर देना नहीं है कि तावान लाजिम आये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.81:– मालिक ने कहा यह चीज़ फुलाँ शख़्स को देदेना यह कहता है मैंने देदी मगर वह कहता है नहीं दी है। मूदा की बात क़सम के साथ मोअ्तबर है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.82:– मूदा ने कहा मालूम नहीं वदीअ़त क्यूँकर जाती रही इब्तिदाअन इसने यही जुमला कहा। यूँ कहा कि चीज़ जाती रही और मालूम नहीं गिरगई इस सूरत में ज़मान नहीं। अगर यूँही कहा मालूम नहीं जाइअ् हुई या नहीं हुई या यूँ कहा मालूम नहीं मैंने इसे रख दिया है या मकान के अन्दर कहीं दफ़्न कर दिया है या किसी दूसरी जगह दफ़्न किया है इन सूरतों में ज़ामिन है। और अगर यूँ कहता कि मैंने एक जगह दफ़्न कर दिया था वहाँ से कोई चुरा लेगया अगरचे उस जगह को नहीं बताया जहाँ दफ़्न किया था इसमें ज़मान वाजिब नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.83:– दलाल को बेचने के लिये कपड़ा दिया था दलाल कहता है, कपड़ा मेरे हाथ से गिर गया और जाइअ् होगया मालूम नहीं क्यूँकर जाइअ् हुआ तो इस पर तावान नहीं और दलाल यह कहता है कि मैं भूलगया मालूम नहीं किस दुकान पर रख दिया था तो तावान देना होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.84:– मूदा कहता है वदीअ़त मैंने अपने सामने रखी थी भूलकर चलागया जाइअ् होगई। इस सूरत में तावान देना होगा और अगर कहता है मकान के अन्दर छोड़कर चलागया और ज़ाइअ् होगई अगरचे वह जगह हिफ़ाज़त की है कि इस क़िस्म की चीज़ बतौर हिफ़ाज़त रखी जाती है तो तावान नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.85:– मकान किसी की हिफ़ाज़त में देदिया और उसी मकान के एक कमरे या कोठरी में वदीअ़त रखी है और उसको मुक़फ़्फ़ल करदिया कि आसानी से न खुल सकता हो तो तावान नहीं, वरना है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.86:– उसके मकान में लोग ब'कस्रत आते जाते हैं मगर उसके ब'वजूद चीज़ की हिफ़ाज़त रहती है और उसने हिफ़ाज़त की जगह में वदीअ़त रखदी है ज़मान वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.87:– माले वदीअ़त को ज़मीन में दफ़्न करदिया और कोई निशानी भी कर रखी है तो ज़ाइअ् होने पर तावान नहीं और निशान नहीं किया तो तावान है और जंगल में दफ़्न करदिया तो बहर सूरत तावान है।

मसअ्ला.88:– मूदा के पीछे चोर लगगये उसने वदीअ़त को दफ़्न करदिया कि चोर उसके हाथ से कहीं ले न लें और दफ़्न करके उनके ख़ौफ़ से भाग गया फिर आकर तलाश करता है तो पता नहीं चलता कि कहाँ दफ़्न की थी अगर दफ़्न करते वक़्त इतना मौक़ा था कि निशानी कर देता और

हमे बड़ी मुसर्रत हो रही है कि अल्लाह त'आला और उसके हबीब सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम के हुक्म फ़ज़्ल-ओ-करम से और बुज़ुर्गाने दीन सिलसिला-ए-क़ादिरिया बिलख़ुसूस पिराने पीर दस्तगीर हुज़ूर ग़ौस-ए-आज़म शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रादिअल्लाहु त'आला अन्हू के फ़ैज़ से क़िताब बहार-ए-शरीअत **(हिस्सा 11 से 20)** हिंदी में पीडीएफ **[PDF]** में आप की खिदमत में पेश की जा रही है।

ज़माना-ए- क़दीम से अवमुन्नास की इस्लाहे हाल और हिदायते उख़रवी व दुनयवी के लिए हक़ सदाक़त के जाम की फ़राहमी की जाती रही हैं और ये इलतेज़ाम ख़ालिक़-ए-क़ायनात जल्ला जलालहु ने ब अहसान अपनी मख़लूक़ के लिए फ़रमाया है। अम्बिया व मुर्सलीन के बेहतरीन दौर के बाद उसने यह ख़िदमत अपने मुक़र्रबीन रिज़वानुल्लाह त'आला अलैहिम अजमईन के सुपुर्द की और यह सिलसिला अला हालही जारी व सारि है।

मज़हब-ए-इस्लाम अल्लाह त'आला का पसंदीदा दीन है । ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नही जिसके लिए इस्लाम ने हमे क़ानून न दिया हो ।

आज जिस दौर से हम गुज़र रहे है हमारा मुस्लिम तबका उर्दू की तरफ ध्यान नही दे रहा है और नई नस्ल तो बिल्कुल ही उर्दू से नावाक़िफ़ होती जा रही है । नतीजे के तौर पर दीनी और मज़हबी दिलचस्पियाँ कम हो रही है और हम अपने हाल को ग़ैर मुंज़बित तरीके पे छोड़े रहते है ।

लिहाज़ा ये किताब हिंदी में लिखी गई है और आप सब की आसानी के लिए हम ने इस किताब को पीडीएफ फ़ाइल में आप की ख़िदमत में पेश किया है।
आप सब से हमारी गुज़ारिश है कि अपनी मसरूफ ज़िन्दगी में से रोज़ाना वक़्त निकाल कर बुज़ुर्गो की तस्नीफ़ करदा किताबो को मुताला में रखें , इंशा अल्लाह त'आला दीन और दुनिया दोनो में मक़बूल होंगे।

दुआओं के तलबगार

वसीम अहमद रज़ा खान और साथी

+91-8109613336

नहीं की तो ज़ामिन है और अगर निशानी का मौक़ा न मिला तो दो सूरतें हैं अगर जल्द आजाता तो पता चलजाता, और जल्द आना मुम्किन था मगर न आया, जब भी ज़ामिन है और जल्द आना मुम्किन ही न था इस वजह से नहीं आया तो ज़ामिन नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.89:– ज़माना–ए–फ़ितना में वदीअ़त को वीराने में रख आया अगर ज़मीन के ऊपर रख दी, तो ज़ामिन है और दफ़्न करदी तो ज़ामिन नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.90:– मूदा से कोई ज़बरदस्ती माल लेना चाहता है अगर जान से मारने या क़ता अजू (जिस्म का हिस्सा काटने) की धमकी दी इसने उस पर कुछ माल देदिया ज़मान नहीं और अगर उसने धमकी दी कि उसे बन्द करदेगा या कै़द करदेगा और माल देदिया तो तावान वाजिब है और अगर यह अन्देशा है कि अगर कुछ थोड़ा माल उसे न दिया जाये तो कुल ही छीन लेगा। यह देने के उ़ज़्र हैं यानी ज़मान लाज़िम नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.91:– वदीअ़त के मुताल्लिक़ यह अन्देशा है कि ख़राब होजायेगी मालिक मौजूद नहीं या वह ले नहीं जाता मूदा को चाहिए यह मुआमला हाकिम के पास पेश करे ताकि वह बेच डाले और अगर मूदा ने पेश नहीं किया यहाँ तक कि वदीअ़त ख़राब होगई तो इस पर ज़मान नहीं और अगर वहाँ क़ाज़ी ही न हो तो चीज़ को बेच डाले और स्मन महफ़ूज़ रखे। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.92:– वदीअ़त के मुताल्लिक़ मूदा ने कुछ ख़र्च किया अगर यह क़ाज़ी के हुक्म से नहीं है मुतबर्रा है कुछ मुआवज़ा नहीं पायेगा और अगर क़ाज़ी के पास मुआमला पेश किया क़ाज़ी इस पर गवाह तलब करेगा कि यह वदीअ़त है और इसका मालिक ग़ायब है फिर वह चीज़ ऐसी है। जो किराये पर दी जासकती है तो क़ाज़ी हुक्म देगा कि किराये पर दीजाये और आमदनी उस पर सर्फ़ की जाये और अगर किराये पर न देने की चीज़ हो तो क़ाज़ी यह हुक्म देगा कि दो तीन दिन तुम अपने पास से ख़र्च करो शायद मालिक आजाये उससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं देगा। बल्कि हुक्म देगा कि चीज़ बेचकर उसका स्मन महफ़ूज़ रखा जाये। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.93:– मुस्हफ़ शरीफ़ को रहन या वदीअ़त रखा था। मूदा या मुरतहिन उसमें देखकर तिलावत कर रहा था। उसी हालत में ज़ाइअ् होगया। तावान वाजिब नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.94:– किताब वदीअत है उसमें ग़लती नज़र आई अगर मालूम है दुरुस्त करने से मालिक को नागवारी होगी दुरुस्त न करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.95:– एक शख़्स को दस रूपये दिये और यह कहा कि इनमें से पाँच तुम्हारे लिए हिबा हैं और पाँच वदीअ़त उसने पाँच ख़र्च करडाले और पाँच ज़ाइअ् होगये साढ़े सात रूपये उसपर तावान के वाजिब हैं क्योंकि मुशाअ् (हिस्सा) का हिबा सही नहीं है और हिबा फ़ासिद के तौर पर जिस चीज़ का क़ब्ज़ा होता है उसका ज़मान लाज़िम होता है और पाँच रूपये जो ज़ाइअ् हुए, उनमें वदीअ़त और हिबा दोनों हैं लिहाज़ा उनके निस्फ़ का ज़मान होगा कि वह ढाई रूपये हैं और जो ख़र्च किये हैं उनके कुल का "ज़मान" है। यूँही साढ़े सात रूपये का तावान वाजिब और अगर देते वक़्त यह कहा कि इनमें तीन तुम्हें हिबा करता हूँ और सात फुलाँ शख़्स को दिये और वह देने गया रास्ते में कुल रूपये ज़ाइअ् होगये तो कुल तीन रूपये का तावान वाजिब है कि यह हिबा फ़ासिद है और पाँच पाँच रूपये करके और यह कहदिया कि पाँच हिबा हैं और पाँच अमानत हैं और यह नहीं बताया कि कौनसे पाँच हिबा के हैं इसने सबको ख़लत कर दिया और ज़ाइअ् होगये तो पाँच रूपये तावान वाजिब। (आलमगीरी)

मसअ्ला.96:– वदीअ़त ऐसी चीज़ है जिसमें गर्मियों में कीड़े पड़ जाते हैं उसने इस चीज़ को हवा में नहीं रखा और कीड़े पड़गये तो इस पर तावान वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.97:– वदीअ़त को चूहों ने ख़राब कर दिया अगर उसने पहले ही मूदा से कह दिया था कि यहाँ चूहे हैं तो तावान नहीं और उसे मालूम होगया कि यहाँ चूहे के बिल हैं और न बन्द किये, न मालिक को ख़बर दी। तो तावान वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.98:– जानवर को वदीअ़त रखा और ग़ायब होगया मूदा ने उसका दूध दुहा और यह अन्देशा है कि उसके आने तक दूध ख़राब होजायेगा। उसको बेच डाला, अगर क़ाज़ी के हुक्म से बेचा, तो ज़ामिन नहीं। और बिग़ैर हुक्मे क़ाज़ी बेचा, तो ज़ामिन है। यानी अगर यह स्मन ज़ाइअ् हो गया तो तावान देना होगा। मगर जबकि ऐसी जगह हो, जहाँ क़ाज़ी न हो, तो ज़ामिन नहीं(आलमगीरी)

मसअ्ला.99:– अँगूठी वदीअ़त रखी, मूदा ने छुंगलिया या उसके पास वाली उंगली में डालली। और उसी में पहने हुए था कि हलाक होगई तो तावान लाज़िम है। और अगर अँगूठे या कलिमे की उंगली या बीच की उंगली में डालली। और उसी हालत में हलाक होगई तो तावान नहीं। और औरत के पास वदीअ़त रखी तो किसी उंगली में डालेगी ज़ामिन होगी। (आलम गीरी)

मसअ्ला.100:– थैली में रूपये किसी के पास वदीअ़त रखे। मगर मूदा के सामने गिनकर सिपुर्द नहीं किये जब वापस लिये तो कहता है कि रूपये कम हैं तो मूदा पर न ज़मान है न उस पर हल्फ़ दिया जायेगा हाँ अगर उसके ज़िम्मे ख़्यानत या ज़ाइअ् करने का इल्ज़ाम लगाता है तो हल्फ़ होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.101:– कूंडा वदीअ़त रखा, मूदा के मकान में तन्नूर था। उसने कूंडा तन्नूर पर रख दिया, ईंट गिरी और कूंडा टूटगया। अगर तन्नूर पर रखने से तन्नूर छुपाना मक़सूद था तो तावान दे। और यह मक़सद न था बल्कि उसको महज़ रखना मक़सूद था तो तावान नहीं। यूंही रकाबी या तबाक़ वदीअ़त रखा, मूदा ने उसको मटके या गोली पर रख दिया। अगर महज़ रखना मक़सूद है तो तावान नहीं और छुपाना मक़सूद है तो तावान है और यह कैसे मालूम होगा कि छुपाना मक़सूद था या नहीं इसकी सूरत यह है कि अगर मटके या गोली में पानी या आटा या काई ऐसी चीज़ है जो ढांकी जाती हो तो छुपाना मक़सूद है। और ख़ाली है या उसमें कोई ऐसी चीज़ जो छुपाकर न रखी जाती हो तो महज़ रखना मक़सूद है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.102: बकरी वदीअ़त रखी, मूदा ने उसे अपनी बकरियों के साथ चरने भेज दिया और बकरी चोरी होगई। अगर यह चरवाहा ख़ास मूदा का चरवाहा है तो तावान नहीं और अगर ख़ास नहीं, तो तावान है। (आ़लमगीरी)

आ़रियत का बयान

दूसरे शख़्स को चीज़ की मनफ़अ्त का बिग़ैर एवज़ मालिक कर देना आ़रियत है। जिसकी चीज़ है उसे मुईर कहते हैं और जिसको दी गई उसे मुस्तईर कहते हैं और चीज को मुस्तआ़र कहते हैं।

मसअ्ला.1: आ़रियत के लिये ईजाब क़बूल होना ज़रूरी है अगर कोई फ़ेअ्ल ऐसा किया जिससे क़बूल मालूम होता हो तो यह फ़ेअ्ल ही क़बूल है मस्लन किसी से कोई चीज़ माँगी, उसने लाकर देदी और कुछ न कहा, आ़रियत होगई और अगर वह शख़्स ख़ामोश रहा कुछ नहीं बोला, तो आ़रियत नहीं। (बहर)

मसअ्ला.2:– आ़रियत का हुक्म यह है कि चीज़ मुस्तईर के पास अमानत होती है अगर मुस्तईर ने तअ़द्दी नहीं की है और चीज़ हलाक होगई तो ज़मान वाजिब नहीं और उसके लिये शर्त यह है कि शय मुस्तआ़र इन्तिफ़ा (उधार ली हुई चीज़ फ़ायदा उठाने के लायक़ हो) के क़ाबिल हो और एवज़ लेने की उसमें शर्त न हो तो अगर मुआ़वज़ा शर्त हो तो इजारा होजायेगा अगरचे आ़रियत ही का लफ़्ज़ बोला हो। मुनाफ़े की जिहालत उसको फ़ासिद नहीं करती और ऐन मुस्तआ़र की जिहालत से आ़रियत फ़ासिद है मस्लन एक शख़्स से सवारी के लिये घोड़ा माँगा उसने कहा अस्तबल में दो घोड़े बंधे हैं उनमें से एक लेलो मुस्तईर एक लेकर चलागया अगर हलाक होगा ज़मान देना होगा और अगर मालिक ने यह कहा, कि इनमें से जो तू चाहे, एक लेले तो ज़मान नहीं। बिग़ैर मांगे किसी ने कहदिया यह मेरा घोड़ा है इस पर सवारी लो या गुलाम है इससे ख़िदमत लो यह आ़रियत नहीं यानी ख़र्चा मालिक को देना होगा उसके ज़िम्मे नहीं। (बहर)

मसअ्ला.3:– आ़रियत के बाज़ अल्फ़ाज़ यह हैं मैंने यह चीज़ आ़रियत दी, मैंने यह ज़मीन तुम्हें

खाने को दी, यह कपड़ा पहनने को दिया, यह जानवर तुम्हें देता हूँ इससे काम लेना और खाने को देना।
मसअ्ला.4:– एक शख़्स ने कहा, अपना जानवर कल तक के लिये आ़रियत देदो उसने कहा, हाँ दूसरे ने भी कहा कल शाम तक के लिये अपना जानवर मुझे आ़रियत देदो उसने भी कहा हाँ, तो जिसने पहले जानवर मांगा वह ह़क़दार है और अगर दोनों के मुँह से एक साथ बात निकली तो दोनों के लिए आ़रियत है। (आ़लमगीरी)
मसअ्ला.5:– आ़रियत हलाक होगई अगर मुस्तईर ने तअ़द्दी नहीं की है उससे उसी त़रह काम लिया जो काम का त़रीक़ा है और चीज़ की हिफ़ाज़त की और उसपर जो कुछ ख़र्च करना मुनासिब था ख़र्च किया तो हलाक होने पर तावान नहीं अगरचे आ़रियत देते वक़्त यह शर्त़ करली हो कि हलाक होने पर तावान देना होगा। यह बात़िल शर्त़ है जिस त़रह़ रहन में ज़मान न होने की शर्त़ बात़िल है। (बह़र)
मसअ्ला.6:– दूसरे की चीज़ आ़रियत के त़ौर पर देदी मुस्तईर के यहाँ हलाक होगई तो मालिक को इख़्तियार है पहले से तावान ले, या दूसरे से। अगर दूसरे से तावान लिया तो यह पहले से रुजूअ़ कर सकता है यह उस वक़्त है कि मुस्तईर को यह मा'लूम न हो कि चीज़ दूसरे की है और अगर यह मा'लूम है कि दूसरे की चीज़ है तो मुस्तईर को ज़मान देना होगा और मालिक ने उससे ज़मान लिया तो यह मुईर से रूजुअ़ नहीं कर सकता और मालिक को यह इख़्तियार है कि मुईर से ज़मान वुसूल करे उससे क़हा तो यह मुस्तईर से रुजुअ़ नहीं कर सकता। (बह़र)
मसअ्ला.7:– तअ़द्दी की बा'ज़ सूरतें यह हैं बहुत ज़ोर से लगाम खींची या ऐसा मारा कि आँख फूटगई या जानवर पर इतना बोझ लाददिया कि मा'लूम है ऐसे जानवर पर इतना बोझ नहीं लादा जाता या इतना काम लिया कि उतना काम नहीं लिया जाता घोड़े से उतरकर मस्जिद में चला गया घोड़ा वहीं रास्ते में छोड़ दिया वह जाता रहा। जानवर इस लिये लिया कि फ़ुलाँ जगह मुझे सवार होकर जाना है और दूसरी नहर पर पानी पिलाने लेगया, बैल लिया था एक खेत जोतने के लिए, उससे दूसरा खेत जोता इस बैल के साथ दूसरा आ़ला दर्जे का बैल एक ह़ल में जोत दिया और वैसे बैल के साथ चलने की आ़दत न थी और यह हलाक होगया जंगल में घोड़ा लिये चित सोगया और बाग हाथ में है और कोई शख़्स चुरा लेगया और बैठा हुआ सोगया तो ज़मान नहीं। और सफ़र में होता, तो चाहे लेटकर सोता या बैठ कर इस पर ज़मान नहीं होता। (बह़र)
मसअ्ला.8:– मुस्तआ़र चीज़ सर या करवट के नीचे रखकर चित सोगया ज़मान नहीं। (आ़लमगीरी)
मसअ्ला.9:– घोड़ा या तलवार इस लिये आ़रियत लेता है कि क़िताल (जिहाद) करेगा तो घोड़ा मारा जाये या तलवार टूट जाये उसका ज़मान नहीं और अगर पत्थर पर तलवार मारी और टूट गई तो तावान है। (आ़लमगीरी)
मसअ्ला.10:– आ़रियत को न उजरत पर दे सकता है और न रहन रख सकता है मस्'लन मकान या घोड़ा आ़रियत पर लिया और उसको किराये पर चलाया या क़र्ज़ रूपया लिया और आ़रियत को रहन रख दिया यह ना'जाइज़ है। हाँ आ़रियत को आ़रियत पर देसकता है बशर्ते कि वह चीज़ ऐसी हो कि इस्तेमाल करने वालों के इख़्तिलाफ़ से उसमें नुक़सान न पैदा हो जैसे मकान की सुकूनत, जानवर पर बोझ लादना, आ़रियत को वदीअ़त रख सकता है मस्'लन आ़रियत की चीज़ का ख़ुद पहुँचाना ज़रूरी नहीं दूसरे के हाथ भी मालिक के पास भेज सकता है। (बह़र, दुर्रेमुख़्तार, हिदाया)
मसअ्ला.11:– मुस्तईर ने आ़रियत को किराये पर देदिया या रहन रख दिया और चीज़ हलाक हो गई मालिक मुस्तईर से तावान वसूल कर सकता है और यह किसी से रूजुअ़ नहीं कर सकता और यह भी हो सकता है कि मुस्ताजिर या मुरतहिन वसूल करे फिर यह मुस्तईर से वापस लें क्योंकि इसकी वजह से यह तावान उनपर लाज़िम आया यह उस वक़्त है कि मुस्ताजिर को यह मा'लूम न था कि पराई चीज़ किराये पर चला रहा है और अगर मा'लूम था तो तावान की वापसी नहीं हो सकती क्योंकि उसको किसी ने धोका नहीं दिया है। (हिदाया)

मसअ्ला.12:– मुस्तईर ने आ़रियत की चीज़ किराये पर देदी और चीज़ हलाक होगई उसको तावान देना पड़ा तो जो कुछ किराये में वुसूल हुआ है उसका मालिक यही है मगर उसे सदका़ करदे(आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– घोड़ा आ़रियत पर लिया और यह नहीं बताया, कि कहाँ तक उसपर सवार होकर जायेगा तो शहर के बाहर नहीं लेजा सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– चीज़ आ़रियत पर लेने के लिये किसी को भेजा, का़सिद को मालिक नहीं मिला और चीज़ घर में थी यह उठा लाया और मुस्तईर को देदी मगर उससे यह नहीं कहा कि बे'इजाज़त लाया हूँ अगर चीज़ ज़ाइअ् होजाये तो मालिक तावान लेसकता है इख़्तियार है मुस्तईर से ले, या का़सिद से और जिससे भी लेगा वह दूसरे से रुजुअ् नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– ना'बालिग़ बच्चे का माल उसका बाप किसी को आ़रियत के तौर पर नहीं दे सकता। ग़ुलाम माज़ून मौला का माल आ़रियत देसकता है औ़रत ने शौहर की चीज़ आ़रियत पर देदी। अगर यह चीज़ इस क़िस्म की है जो मकान के अन्दर होती है और आ़दतन औ़रतों के क़ब्ज़े, बल्कि तसर्रुफ़ में रहती है उसके हलाक होने पर तावान किसी पर नहीं न मुस्तईर पर, न औ़रत पर। घोड़ा या बैल औ़रत ने मंगनी देदिया। मुस्तईर और औ़रत दोनों ज़ामिन हैं कि यह चीज़ें औ़रतों के क़ब्ज़े की नहीं होती। (बहर)

मसअ्ला.16:– मालिक ने मुस्तईर से मनफ़अ्त के मुता़ल्लिक़ कहदिया है कि इस चीज़ से यह काम लिया जाये या वक़्त की पाबन्दी करदी जाये कि इतने वक़्त तक, दोनों बातें ज़िक्र कर दीं। यह तीन सूरतें हुईं आ़रियत में चौथी सूरत यह है कि वक़्त व मनफ़अ्त दोनों में से किसी बात की क़ैद न हो इसमें मुस्तईर को इख़्तियार है कि जिस क़िस्म का नफ़ा चाहे और जिस वक़्त में चाहे ले सकता है कि यहाँ कोई पाबन्दी नहीं तीसरी सूरत में कि दोनों बातों में तक़ईद हो यहाँ मुख़ालफ़त नहीं कर सकता। मगर ऐसी मुख़ालफ़त कर सकता है कि जो काम लेता है उसी के मिस्ल है जो उसने कहदिया या उस चीज़ के ह़क़ में उससे बेहतर है मस्लन जानवर लिया है कि उसपर यह दो मन गेहूँ लादकर फुलाँ जगह पहुँचायेगा और बजाए इस गेहूँ के दूसरे दो मन गेहूँ लादकर उसी जगह लेगया कि गेहूँ दोनों यकसाँ हैं या उससे कम मुसाफ़त पर लेगया कि यह उससे आसान है या गेहूँ की दो बोरियां लादने को कहा था जौ की दो बोरियाँ लादीं कि यह उनसे हल्के होते हैं पहली और दूसरी सूरत में मुख़ालफ़त नहीं कर सकता मगर ऐसी मुख़ालफ़त कर सकता है कि जौ कह दिया उसी की मिस्ल हो या उससे बेहतर और चौथी सूरत में उस पर ख़ुद सवार होसकता है, दूसरे को सवार कर सकता है, ख़ुद बोझ लाद सकता है, दूसरे को लादने के लिये दे सकता है, मगर यह ज़रूर है कि ख़ुद सवार हुआ, तो दूसरे को अब सवार नहीं कर सकता और दूसरे को सवार किया तो ख़ुद सवार नहीं हो सकता कि अगरचे मालिक की त़रफ़ से क़ैद न थी। मगर एक के करने के बा़द वही मुतअ़य्यन होगया दूसरा नहीं कर सकता। (हिदाया)

मसअ्ला.17:– इजारा में भी यही सूरतें और यही अह़काम हैं कि मुख़ालफ़त करने की सूरत में अगर वह मुख़ालफ़त जाइज़ न हो और चीज़ हलाक होजाये तो आ़रियत व इजारा दोनों में ज़मान देना होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.18:– मकील व मौज़ून व अ़ददी मुतक़ारिब को आ़रियत लिया, और आ़रियत में कोई क़ैद नहीं तो आ़रियत नहीं बल्कि क़र्ज़ है मस्लन किसी से रूपये, पैसे, गेहूँ, जौ, वग़ैरहा आ़रियत लिये, इसका मत़लब यह होता है कि इन चीज़ों को ख़र्च करेगा और उसी क़िस्म की चीज़ देगा यानि रूपया लिया है तो रूपया देगा पैसा लिया है तो पैसा देगा और जितना लिया है उतना ही देगा यह आ़रियत नहीं, बल्कि क़र्ज़ है क्योंकि आ़रियत में चीज़ को बाक़ी रखते हुए फ़ायदा उठाया जाता है और यहाँ हलाक व ख़र्च करके फ़ायदा उठाया जाता है लिहाज़ा फ़र्ज़ करो, कि क़ब्ल इन्तिफ़ा़ यह चीज़ें ज़ाइअ् होजायें जब भी तावान देना होगा। क़र्ज़ का यही हुक्म है कि लेने वाला मालिक

होजाता है नुक़सान होगा तो इसका होगा देने वाले का नहीं होगा। हाँ अगर इन चीज़ों के आ़रियत लेने में कोई ऐसी बात ज़िक्र करदी जाये जिससे यह बात वाज़ेह होती हो कि हक़ीक़तन आ़रियत ही है क़र्ज़ नहीं, तो उसे आ़रियत ही क़रार देंगे। मस्लन रूपये पैसे माँगता है कि उससे कोई चीज़ वज़न करेगा या उससे तौलकर बाट बनायेगा अपनी दुकान को सजायेगा, तो आ़रियत है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.19:– पहनने के कपड़े क़र्ज़ माँगे यह उ़र्फ़न आ़रियत है पैवन्द मांगा कि कुर्ते में लगायेगा या ईंट या कड़ी मकान में लगाने के लिये आ़रियत मांगी, और इन सब में यह कहदिया है कि वापस दे दुँगा तो आ़रियत है और नहीं कहा है तो क़र्ज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.20:– किसी से एक प्याला सालन मांगा, यह क़र्ज़ है और अगर दोनों में इन्बिसात व बेतकल्लुफ़ी हो, तो इबाहत है। गोली छर्रे आ़रियत लिये, यह क़र्ज़ है और अगर निशाना पर मारने के लिये, यानी चाँद मारी के लिए गोली ली है तो आ़रियत है क्योंकि इसे वापस देसकता है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.21:– आ़रियत देने वाला जब चाहे अपनी चीज़ वापस ले सकता है जब यह वापस मांगेगा। आ़रियत बातिल होजायेगी आ़रियत की एक मुद्दत मुक़र्रर करदी थी। मस्लन एक माह के लिये यह चीज़ दी, और मालिक ने मुद्दत पूरी होने से क़ब्ल मुतालबा करलिया, आ़रियत बातिल होगई। अगरचे मालिक को ऐसा करना मकरूह व ममनूअ़ है कि वअ़्दा ख़िलाफ़ी है मगर वापस लेने में अगर मुस्तईर का नुक़सान ज़ाहिर हो तो चीज़ उसके क़ब्ज़े से नहीं निकाल सकता बल्कि चीज़ उस मुद्दत तक मुस्तईर के पास बतौर इजारा रहेगी मालिक को उजरते मिस्ल मिलेगी मस्लन एक शख़्स की लौंडी को बच्चे के दूध पिलाने के लिये आ़रियत पर लिया और अन्दुरूने मुद्दते रज़ाअ़त मालिक लौंडी को मांगता है और बच्चा दूसरी औरतों का दूध नहीं लेता, जब तक मुद्दत पूरी न हो लौंडी नहीं ले सकता। हाँ अगर इस ज़माने की वाजिबी उजरत वुसूल कर सकता है क्योंकि आ़रियत बातिल होगई जिहाद के लिये घोड़ा आ़रियत लिया था और चार माह उसकी मुद्दत थी दो महीने के बाद मालिक अपने घोड़े को वापस लेना चाहता है अगर इस्लामी इलाक़े में है मालिक को वापस देदिया जायेगा और अगर बिलादे शिर्क में मुतालबा करता है ऐसी जगह कि वहाँ किराये पर घोड़ा मिल सकता है न ख़रीद सकता है तो मुस्तईर वापस देने से इन्कार कर सकता है और ऐसी जगह तक आने का किराया देगा जहाँ घोड़ा किराये पर मिलता हो या ख़रीदा जासकता हो(बहर)

मसअ्ला.22: पीपा वग़ैरा कोई ज़र्फ़ (बर्तन) मुस्तआ़र लिया, इसमें घी तेल भरकर ले जारहा था। जब जंगल में पहुँचा, तो मालिक वापस मांगने लगा जब तक आबादी न आजाये, देने से इन्कार कर सकता है। मालिक फ़क़त यह कर सकता है कि इतनी देर की उजरत लेले। (आलमगीरी)

मसअ्ला.23:– ज़मीन आ़रियत ली, कि इसमें मकान बनायेगा या दरख़्त नसब करेगा यह आ़रियत सही है और मालिक ज़मीन को इख़्तियार है कि जब चाहे अपनी ज़मीन को ख़ाली कराले क्योंकि आ़रियत में कोई पाबन्दी मालिक पर लाज़िम नहीं और अगर मकान या दरख़्त खोदकर निकालने में ज़मीन ख़राब होजाने का अन्देशा हो तो इस मल्बे की जो मकान खोदने के बाद क़ीमत होगी या दरख़्त काटने के बाद जो क़ीमत होगी मालिक ज़मीन से दिलादी जाये और मालिक मकान व दरख़्त अपने मकान व दरख़्त को बिजिन्सेही (उस की जिन्स के साथ) छोड़दे। मालिक ज़मीन ने मुस्तईर के लिये कोई मुद्दत मुक़र्रर करदी थी मस्लन दस साल के लिये यह ज़मीन मकान बनाने को या दरख़्त लगाने को आ़रियत दी और मुद्दत पूरी होने से पहले ज़मीन वापस लेना चाहता है अगरचे यह मकरूह व वअ़्दा ख़िलाफ़ी है मगर वापस लेसकता है क्योंकि यह अ़क़्द क़ज़ाअन उसके ज़िम्मे लाज़िम नहीं मगर इस इमारत और दरख़्त की वजह से मुस्तईर को कुछ नुक़सान होगा मालिक ज़मीन उसको अदा करदे यानी खड़ी इमारत की क़ीमत लगाई जाये और मल्बा जुदा करदेने के बाद जो क़ीमत हो उसमें इमारत की क़ीमत से जो कमी हो मालिक ज़मीन यह रक़म मुस्तईर को दे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.24:– ज़मीन ज़राअ़त के लिये आ़रियत दी और वापस लेना चाहता है जब तक फ़सल

तैयार न हो और खेत काटने का वक़्त न आये वापस नहीं लेसकता वक़्त मुक़र्रर करके दी हो या मुक़र्रर न किया हो दोनों का एक हुक्म है। यह अल्बत्ता है कि फ़सल तैयार होने तक ज़मीन की जो उजरत हो मालिक ज़मीन को दिलादी जायेगी अगर खेत बो दिया है मगर अभी जमा नहीं है मालिक ज़मीन यह कहता है कि बीज लेलो और जो कुछ सर्फ़ा हुआ है वह ले लो, और खेत छोड़ दो यह नहीं कर सकता अगरचे काश्तकार इस पर राज़ी भी हो क्योंकि जमने से पहले ज़राअत की बैअ् नहीं हो सकती और खेत जमगया है तो ऐसा किया जा सकता है। (बहर, आलमगीरी)

मसअ्ला.25:– मकान आ़रियत पर लिया और मुस्तईर ने मिट्टी की इसमें कोई दीवार बनवाई मकान वाले ने मकान वापस लिया, मुस्तईर उस दीवार की क़ीमत या सर्फ़ा लेना चाहता है नहीं लेसकता। और अगर चाहता है कि दीवार गिरादे तो गिरा भी नहीं सकता और अगर दीवार मालिक मकान की मिट्टी से बनवाई है ज़मीन आ़रियत पर ली कि इसमें मकान बनवायेगा और रहेगा और जब यहाँ से चला जायेगा, तो मकान मालिक ज़मीन का होजायेगा यह आ़रियत नहीं है बल्कि इजारा फ़ासिदा है इसका हुक्म यह है कि जब तक मुस्तईर वहाँ रहे, ज़मीन का वाजिबी किराया उसके ज़िम्मे है। और जब छोड़दे तो मकान का मालिक मुस्तईर है। मालिके ज़मीन नहीं। (बहर)

मसअ्ला.26:– किसी से कहा कि मेरी इस ज़मीन में मकान बनालो मैं तुम्हारे पास इस ज़मीन को हमेशा रहने दुँगा या फ़ुलाँ वक़्त तक तुम्हें नहीं निकालूँगा और अगर मैं तुम्हें निकालूँ तो जो कुछ तुम ख़र्च करोगे मैं उसका ज़ामिन हूँ और इमारत मेरी होगी इस सूरत में अगर मुस्तईर को निकालेगा इमारत की क़ीमत देनी होगी और इमारत मालिक ज़मीन की होगी। (ख़ानिया)

मसअ्ला.27:– जानवर आ़रियत पर लिया तो उसका चारा, दाना, घास सब मुस्तईर के ज़िम्मे है। यही हुक्म लौंडी, ग़ुलाम का है कि उनकी ख़ुराक मुस्तईर के ज़िम्मे है (रद्दुलमोह़तार) और अगर बे मांगे ख़ुद मालिक ने कहा कि तुम इसे लेजाओ और इससे काम लो तो इस सूरत में ख़ुराक मालिक के ज़िम्मे है। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.28:– मुस्तईर के पास आकर एक शख़्स यह कहता है कि फ़ुलाँ शख़्स से फ़ुलाँ चीज़ मैंने आ़रियत ली है और वह तुम्हारे यहाँ है उसने कह दिया है कि तुम वहाँ से लेलो मुस्तईर ने उसको वकील समझकर चीज़ देदी। मालिक ने इन्कार किया कहता है मैंने उससे नहीं कहा था तो मुस्तईर को तावान देना होगा और उस शख़्स से वापस भी नहीं ले सकता जब कि उसकी तस्दीक़ की थी। हाँ अगर उसकी तस्दीक़ नहीं की थी या तकज़ीब की थी या शर्त करदी थी कि हलाक हुई तो तावान देना होगा इस सूरत में जो कुछ मुस्तईर ने तावान दिया है उससे वुसूल कर सकता है। इसका क़ायदा कुल्लिया (सामान्या नियम) यह है कि जब मुस्तईर ऐसा तसर्रुफ़ करे जो मूजिबे ज़मान हो, और दावा यह करे मालिक की इजाज़त से मैंने किया है और मालिक उसकी तकज़ीब करे, तो मुस्तईर को ज़मान देना होगा। हाँ अगर गवाहों से मालिक की इजाज़त साबित करदे तो ज़मान से बरी है। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.29:– आ़रियत की वापसी मुस्तईर के ज़िम्मे है जो कुछ वापस करने में सर्फ़ा होगा, यह अपने पास से देगा आ़रियत के लिये कोई वक़्त मोअय्यन कर दिया था कि इतने दिनों के लिये या इतनी देर के लिये चीज़ देता हूँ वह वक़्त गुज़र गया और चीज़ नहीं पहुँचाई और हलाक होगई। मुस्तईर के ज़िम्मे तावान है कि उसने वक़्त पूरा होने के बाद क्यों नहीं पहुँचाई जब कि पहुँचाना उसके ज़िम्मे था अगर मुस्तईर ने आ़रियत इस लिए ली है कि उसे रहन रखेगा और फ़र्ज़ करो वह चीज़ ऐसी है कि उसकी वापसी में कुछ सर्फ़ा होगा तो यह सर्फ़ा मुस्तईर के ज़िम्मे नहीं है बल्कि मालिक के ज़िम्मे है पहले जो बयान किया गया है कि वापसी का ख़र्चा मुस्तईर के ज़िम्मे है उस हुक्म से सूरते मज़कूरा का इस्तिस्ना है। (बहर)

मसअ्ला.30:– एक शख़्स ने यह वसियत की है कि मेरा ग़ुलाम फ़ुलाँ शख़्स की ख़िदमत करे यानी वह वारिस की मिल्क है और मूसा लहु (जिस के लिये वसियत की) की इतने दिनों ख़िदमत करे। उसमें भी

वापसी का सर्फा मूसा'लहू के ज़िम्मे है ग़सब व रहन में वापसी की ज़िम्मेदारी व मसारिफ़ ग़ासिब व मुरतहिन पर हैं मालिक ने अपनी चीज़ उजरत पर दी तो वापसी की ज़िम्मेदारी व मसारिफ़ मालिक पर हैं यह उस वक़्त हैं कि वहाँ से ले जाना मालिक की इजाज़त से हो मस्लन कहीं जाने के लिये टट्टू किराये पर लिया, वहां तक गया, टट्टू वापस करना उसका काम नहीं बल्कि मालिक का काम है और अगर उसके हुक्म से नहीं लेगया है तो पहुँचाना उसके ज़िम्मे है मस्लन कुर्सी किराये पर ली है और शहर से बाहर लेगया तो वापस करना उसका काम होगा शिरकत व मुज़ारबत और मौहूब'शय जिसको मालिक ने वापस करलिया उन सब की वापसी मालिक के ज़िम्मे है अजीर मुश्तरक जैसे दर्ज़ी, धोबी कपड़े की वापसी उनके ज़िम्मे है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.31:– मुस्तईर ने जानवर को अपने ग़ुलाम या नौकर के हाथ या मालिक के ग़ुलाम के हाथ या नौकर के हाथ वापस करदिया और मालिक के क़ब्ज़ा करने से पहले हलाक होगया मुस्तईर तावान से बरी होगया कि जिस तरह वापस करने का दस्तूर था बजा लाया अगर मज़दूर के हाथ वापस किया हो जो रोज़ पर काम करता है वह मुस्तईर का मज़दूर हो या मालिक का या अजनबी के हाथ वापस किया और क़ब्ज़े से पहले हलाक होजाये तो ज़मान देना होगा। यह इस सूरत में है कि आरियत के लिए मुद्दत थी और मुद्दत गुज़र जाने के बाद मज़दूर या अजनबी के हाथ भेजा और मुद्दत न हो या मुद्दत के अन्दर भेजा हो तो इसमें तावान नहीं क्योंकि मुस्तईर को वदीअ़त रखना जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.32:– उम्दा व नफ़ीस चीजें जैसे ज़ेवर, मोतियों का हार इनको ग़ुलाम या नौकर के हाथ वापस करने से तावान से बरी नहीं होगा क्योंकि यह चीज़ें इस तरह वापस नहीं की जातीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.33:– मुस्तईर घोड़े को मालिक के अस्तबल में बांध गया या ग़ुलाम को मकान पर पहुँचा गया, बरी होगया और अगर घोड़ा ग़सब किया होता या वदीअ़त के तौर पर होता तो इस तरह पहुँचाना काफ़ी न होता बल्कि मालिक का क़ब्ज़ा दिलाना होता। (बहर) और अगर अस्तबल मकान से बाहर है वहाँ बांध गया तो आ़रियत की सूरत में भी बरी नहीं। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.34:– चीज़ वापस करने लाया मालिक ने कहा इस जगह रखदो रखने में वह चीज़ टूट गई मगर उसने क़स्दन नहीं तोड़ी, ज़मान वाजिब नहीं। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.35:– दो शख़्स एक कमरे में रहते हैं एक जानिब एक, दूसरी जानिब दूसरा, एक दूसरे से कोई चीज़ आ़रियत माँगी जब मुईर ने वापस मांगी तो मुस्तईर ने कहा कि तुम्हारी जानिब जो ताक़ है उसपर मैंने चीज़ रखदी थी तो मुस्तईर पर ज़मान वाजिब नहीं जबकि यह मकान उन्हीं दोनों के क़ब्ज़े में है। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.36:– सोने का हार आ़रियत पर मांग लाया और बच्चे को पहना दिया उसके पास से चोरी होगया अगर बच्चा ऐसा है कि ऐसी चीज़ों की हिफ़ाज़त कर सकता है तो तावान नहीं वरना तावान देना होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.37:– बाप को इख़्तियार नहीं कि ना'बालिग़ की चीज़ आ़रियत पर देदे क़ाज़ी और वसी भी नहीं दे सकते। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.38:– एक शख़्स से बैल आ़रियत माँगा उसने कहा, कल दूँगा दूसरे दिन मांगने वाला आया, और बिग़ैर इजाज़त बैल खोल लेगया उसे काम में लाया और बैल मरगया तावान देना होगा कि बिग़ैर इजाज़त लेगया और अगर सूरत यह है कि मालिक से यह कहा कि मुझको कल बैल देदो मालिक ने कहा हाँ और बिग़ैर इजाज़त लेगया तो तावान नहीं । फ़र्क़ यह है कि पहली सूरत में दूसरे दिन बैल देने का वअ़दा किया है अभी आ़रियत दिया नहीं और दूसरी सूरत में आ़रियत अभी देदी और मुस्तईर कल लेजायेगा और कल क़ब्ज़ा करेगा। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.39:– लड़की रूख़्सत की और जहेज़ भी ऐसा दिया जैसा ऐसे लोगों में दिया जाता है। अब यह कहता है कि सामाने जहेज़ मैंने आ़रियत के तौर पर दिया था। अगर वहाँ का उ़र्फ़ यह है।

कि बाप बेटी को जो कुछ जहेज देता है वह लडकी की मिल्क होता है आरियत के तौर पर नहीं होता तो उस शख़्स की बात कि आरियत है मकबूल नहीं और अगर उर्फ़ आरियत ही का है या अकसर आरियत के तौर पर देते हैं या दोनों तरह यक्साँ चलन है तो इसकी बात मक़बूल है लड़की की माँ या ना'बालिग़ा के वली ने वही बात कही जो बाप ने कही थी तो उनका भी यही हुक्म है (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.40:– आरियत की वसियत की है वुरसा उससे रूजुअ् नहीं कर सकते। आरियत का हुक्म इजारे की तरह है कि दोनों में से एक मर जाये आरियत फ़स्ख़ (खत्म) होजायेगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.41:– जानवर को किसी मक़ाम तक के लिये किराये पर लिया तो सिर्फ़ वहाँ तक जाना ही किराये पर है आना दाख़िल नहीं और अगर उस मक़ाम तक के लिये आरियत पर लिया था तो आमदो रफ़्त दोनों शामिल हैं। कहीं जाने को जानवर को आरियत पर लिया था वहाँ गया नहीं, बल्कि जानवर को घर में बांध रखा और हलाक होगया तो तावान देना होगा कि जानवर जाने के लिए लिया था ना कि बांधने के लिये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.42:– किताब आरियत ली, देखने से मालूम हुआ कि इसमें किताबत की ग़ल्तियाँ हैं अगर मालूम हो कि ग़लती दुरूस्त कर देने पर मालिक राज़ी है तो ग़ल्तियों की इस्लाह़ करदे और अगर गलती की इस्लाह़ न करे बदस्तूर छोड़दे तो इसमें गुनाहगार नहीं और क़ुर्आन शरीफ़ की ग़ल्तियाँ दुरुस्त करना ज़रूरी है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.43:– एक शख़्स ने अँगूठी रहन रखी और मुरतहिन से कह दिया, इसे पहन लो, उसने पहनली तो रहन नहीं बल्कि आरियत है कि अगर ज़ाइअ् होगई दैन साक़ित नहीं होगा। और अगर मुरतहिन ने उतारली तो रहन होगई कि ज़ाइअ् होने से दैन साक़ित होगा और अगर राहिन ने कलिमे की उंगली में पहनने को कहा तो आरियत नहीं बल्कि रहन है कि आदतन इस उंगली में अँगूठी नहीं पहनी जाती। (आलमगीरी)

हिबा का बयान

हिबा के फ़ज़ाइल में ब'कस्रत अहादीस आई हैं बाज़ ज़िक्र की जाती हैं।

हदीस (1) इमाम बुख़ारी ने अदब मुफ़रद में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की हुज़ूर अक़्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं। "बाहम हदिया करो, इससे आपस में महब्बत होगी"।

हदीस (2) तिर्मिज़ी ने उम्मुल मोमेनीन आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, "हदिया करो इससे ह़सद दूर हो जाता है"।

हदीस (3) तिर्मिज़ी ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम् फ़रमाते हैं। 'हदिया करो कि इससे सीने का खोट दूर हो जाता है और पड़ोस वाली औरत पड़ोसन के लिये कोई चीज़ हक़ीर न समझे अगरचे बकरी का खुर हो'। इसी के मिस्ल बुख़ारी शरीफ़ में भी इन्हीं से मरवी, मतलब ह़दीस का यह है अगर थोड़ी चीज़ मयस्सर आये तो वही हदिया करे यह न समझे कि ज़रासी चीज़ क्या हदिया की जाये या यह कि किसी ने थोड़ी चीज़ हदिया की तो उसे नज़रे हिक़ारत से न देखे कि यह न समझे, के यह क्या ज़रासी चीज़ भेजी है इस हुक्म में ख़ास औरतों को मुमानअत फ़रमाने की वजह यह है कि इनमें यह माद्दा बहुत पाया जाता है। बात बात पर इस क़िस्म की नुक़्ता चीनी किया करती हैं और उ़मूमन जो चीज़ें हदिया भेजी जाती हैं वह औरतों ही के क़ब्ज़े में होती हैं लिहाज़ा हुक्म दिया जाता है कि पड़ोस वाली को चीज़ भेजने में यह ख़्याल न करें।

हदीस (4) सही बुख़ारी शरीफ़ में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम् फ़रमाते हैं कि "अगर मुझे दस्त या पाय के लिये बुलाया जाये तो इस दावत को क़बूल करूँगा और अगर यह चीजें मेरे पास हदिया की जायें तो इन्हें क़बूल करूँगा"।

हदीस (5) सही बुख़ारी शरीफ़ में उम्मुल मोमेनीन मैमूना रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी, कहती हैं "मैंने एक कनीज़ आज़ाद करदी थी जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाये तो मैंने हुज़ूर को इसकी इत्तिला दी फ़रमाया 'अगर तुमने अपने मामू को देदी होती तो तुम्हें ज़्यादा सवाब मिलता'।

हदीस (6) तिर्मिज़ी ने हज़रत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की 'कि जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम मदीने में तशरीफ़ लाये मुहाजिरीन ने ख़िदमते अक़दस में हाज़िर होकर यह अर्ज़ की या रसूलल्लाह जिनके यहाँ हम ठहरे हैं (यानि अन्सार) इनसे बढ़कर ज़्यादा ख़र्च करने वाला नहीं देखा और थोड़ा हो तो उसी से मवासात करते हैं। उन्होंने काम की हम से किफ़ायत की, और मुनाफ़े में हमें शरीक करलिया यानी बाग़ात के काम यह करते हैं और जो कुछ पैदावार होती है उसमें हमें शरीक कर लेते हैं हम को अन्देशा है कि सारा सवाब यही लोग ले लेंगे' इरशाद फ़रमाया, नहीं जब तक तुम इनके लिये दुआ करते रहोगे। (तुम भी अज्र के मुस्तहिक़ बनोगे)

हदीस (7) तिर्मिज़ी व अबू दाऊद ने जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम् ने फ़रमाया "जिसको कोई चीज़ दीगई अगर उसके पास कुछ है तो उसका बदला दे और अगर बदला देने पर क़ादिर न हो तो उसकी सना करे"।

हदीस (8) तिर्मिज़ी में उसामा बिन ज़ैद रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम् ने फ़रमाया 'जिसके साथ एहसान किया गया और उसने एहसान करने वाले के लिए यह कहा 'जज़ा कल्लाहु ख़ैरा' तो पूरी सना करदी'।

हदीस (9) सही बुख़ारी शरीफ़ में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम् के पास जब किसी क़िस्म का खाना कहीं से आता तो दरयाफ़्त फ़रमाते, सदक़ा है या हदिया, अगर कहा जाता सदक़ा है तो (फ़ुक़रा) सहाबा से फ़रमाते तुम लोग इसे खालो और अगर कहा जाता कि हदिया है तो सहाबा के साथ ख़ुद भी तनावुल फ़रमाते.।

हदीस (10) अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से इमाम बुख़ारी ने रिवायत की है कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम् ख़ुश्बू को वापस नहीं फ़रमाते और सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी 'कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम् ने फ़रमाया "जिसके पास फूल पेश किया जाये तो उसे वापस न करे कि उठाने में हल्का है और बू अच्छी है हल्का होने का मतलब यह है कि देने वाले का एहसान ज़्यादा नहीं"।

हदीस (11) तिर्मिज़ी ने अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम् फ़रमाते हैं "तीन चीज़ें वापस न की जायें तकिया, और तेल और दूध बाज़ ने कहा तेल से मुराद ख़ुश्बू है"।

हदीस (12) तिर्मिज़ी ने अबू उसमान नहदी से मुरसलन रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम् ने फ़रमाया "जब किसी को फूल दिया जाये तो वापस न करे कि वह जन्नत से निकला है"।

हदीस (13) बैहक़ी ने दावाते कबीर में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम् को देखा कि जब नया फूल हुज़ूर की ख़िदमत में पेश किया जाता तो उसे आँखों व होटों पर रखते और यह दुआ पढ़ते।

اللھم کما اریتنا اوّلہ فارنا آخرہ

"ऐ अल्लाह जिस तरह तूने हमें इसका अव्वल दिखाया है इसका आख़िर दिखा" इसके बाद जो छोटा बच्चा हाज़िर होता उसे दे देते।

हदीस (14) सही बुख़ारी में है उम्मुल मोमेनीन सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरे दो पड़ोसी हैं उनमें से किस को हदिया करूँ। इरशाद फ़रमाया, "जिसका दरवाज़ा

तुम से नज्दीक हो"।

हदीस (15) सही बुख़ारी में है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के ज़माने में हदिया, हदिया था और इस ज़माने में रिश्वत है। यानी हुक्काम को जो हदिया दिया जाता है वह रिश्वत है।

मसाइल फ़िक़्हिय्या

मसअ्ला.1:– किसी चीज़ का दूसरे को बिला एवज मालिक कर देना हिबा है यानी इसमें एवज होना शर्त व ज़रूरी नहीं। (दुरर) देने वाले को वाहिब कहते हैं और जिसको दीगई उसे मौहूब'लहु और चीज को मौहूब और कभी चीज को हिबा भी कहते हैं।

मसअ्ला.2:– हिबा में वाहिब के लिये कभी दुनिया का नफ़ा है कभी नफ़ा उख़रवी, नफ़ा दुनियवी मसलन हिबा करके कुछ एवज़ लेना या इस वास्ते हिबा किया कि लोगों में उसका ज़िक्रे ख़ैर होगा। इमाम अबू मन्सूर मातुरीदी रहमतुल्लाहि तआला फ़रमाते हैं "मोमिन को अपनी औलाद को जूद व एहसान की तालीम वैसी ही वाजिब है जिस तरह तौहीद व ईमान की तालीम वाजिब है क्योंकि जूद व एहसान से दुनिया की महब्बत दूर होती है और महब्बते दुनिया ही हर गुनाह की जड है। हिबा का क़बूल करना सुन्नत है। हदिया करने में आपस में मुहब्बत ज्यादा होती है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– हिबा सही होने की चन्द शर्तें हैं। (1)वाहिब का आकिल होना, (2)बालिग होना (3)मालिक होना नाबालिग़ का हिबा सही नहीं इसी तरह गुलाम का का हिबा करना भी कि यह किसी चीज़ का मालिक ही नहीं जो चीज़ हिबा की जाये। (4)वह मौजूद हो। (5)और क़ब्ज़े में हो (6)मुशाअ् न हो (7)मुतमय्यिज़ हो (8)मशगूल न हो, इसके अरकान ईजाब व क़बूल हैं और इसका हुक्म यह है कि हिबा करने से चीज़ मौहूब'लहु की मिल्क होजाती है अगरचे मिल्क लाज़िम नहीं है। उसमें ख्यारे शर्त सहीह नहीं, मसलन हिबा किया और मौहूब'लहु के लिये तीन दिन का इख़्तियार दिया। हाँ अगर जुदाई से पहले उसने हिबा को इख़्तियार कर लिया हिबा सहीह होगया वरना नहीं। और अगर वाहिब ने अपने लिये तीन दिन का ख़्यार रखा है तो हिबा सहीह है और ख़्यार बातिल शुरूते फ़ासिदा से हिबा बातिल नहीं होता बल्कि ख़ुद शर्तें ही बातिल होजाती हैं मसलन एक शख़्स को अपना गुलाम इस शर्त पर हिबा किया कि वह गुलाम को आज़ाद करदे। हिबा सही है और शर्त बातिल। (बहर, आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– हिबा दो क़िस्म है एक तम्लीक, दूसरा इस्क़ात, मसलन जिस पर मुतालबा था मुतालबा उसे हिबा करना उसको साक़ित करना है मदयून के सिवा दूसरे को दैन हिबा करना उस वक़्त सही है कि क़ब्ज़े का भी उसको हुक्म देदिया हो और क़ब्ज़े का हुक्म न दिया हो, तो सही नहीं।(बहर)

मसअ्ला.5:– एक शख़्स ने हँसी मज़ाक़ के तौर पर दूसरे से चीज हिबा करने को कहा मसलन यार दोस्तों में कभी ऐसा होता है कि मज़ाक़ में कहते हैं मिठाई खिलाओ, या यह चीज देदो मगर उसने सच मुच को हिबा कर दिया यह हिबा सही है। कभी इस तरह भी होता है कि बहुत से लोगों से कहा जाता है कि मैंने यह चीज़ तुम में से एक के लिये हिबा करदी जिसका जी चाहे लेले उनमें से एक ने लेली हिबा दुरुस्त होगया, यह मालिक होगया। या कह दिया, मैंने अपने बाग़ के फल की इजाज़त देदी है जो चाहे लेले जो लेगा, मालिक होजायेगा और अगर ऐसे शख़्स ने लिया, जिसको वाहिब के इस हिबा की ख़बर नहीं पहुँची है उसको लेना जाइज़ नहीं। (बहर) और इल्म से पहले खाया, तो हराम होगया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– हिबा के बहुत से अलफ़ाज़ हैं मैंने तुझे हिबा किया, यह चीज़ तुम्हें खाने को दी, यह चीज़ मैंने फ़ुलाँ के लिये या तेरे लिये करदी, मैंने यह चीज़ तेरे नाम करदी, मैंने इस चीज़ का तुझे मालिक करदिया, अगर क़रीना हो तो हिबा है वरना नहीं क्योंकि मालिक करना बैअ् वग़ैरा बहुत चीज़ों को शामिल है। उम्र भर के लिये यह चीज़ देदी, इस घोड़े पर सवार कर दिया, यह कपड़ा पहनने को दिया, मेरा यह मकान तुम्हारे लिए उम्र भर रहने को है, यह दरख़्त मैंने अपने बेटे के नाम लगाया है। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– हिबा के बाज अलफाज जिक्र कर दिये और उसका कायदा कुल्लिया यह है अगर अलफाज ऐसा बोला, जिससे मिल्क रक्बा समझी जाती हो यानी खुद उस शय की मिल्क तो हिबा है और अगर मुनाफे की तम्लीक मालूम होती हो तो आरियत है और दोनों का एहतिमाल (शक) हो तो नियत देखी जायेगी। (दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.8:– मर्द ने औरत को कपड़े बनवाने के लिए रूपये दिये कि पहने यह हिबा है, छोटे बच्चे के लिये कपड़े बनवाये तो बनवाते ही बल्कि कटवाते ही उसकी मिल्क होगये जो कुछ दे, या न दे और बालिग लड़के के लिए बनवाये तो जब तक उसको कब्जा न दे मालिक नहीं होगा। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.9:– हिबा के लिये कबूल जरूरी है यानी मौहूब लहु जब तक कबूल न करे उसके हक में हिबा नही होगा अगरचे वाहिब के हक में फकत ईजाब से हिबा होजायेगा ब'खिलाफ बैअ् के कि जब तक इसमें ईजाब व कबूल दोनों न हों बाइअ् व मुश्तरी किसी के हक में बैअ् नहीं इसका हासिल यह हुआ कि मसलन कसम खाई थी कि यह चीज़ फुलॉं को हिबा कर दूँगा उसने ईजाब किया, मगर उसने कबुल न किया कसम में सच्चा होगया और अगर कसम खाता कि इसे फुलाँ के हाथ बैअ् करूँगा और ईजाब किया मगर उसने कबूल नहीं किया हानिस (कसम तोड़ने वाला) हो गया कसम टूट गई। (बहर)

मसअ्ला.10:– हिबा का कबूल करना कभी अलफाज से होता है और कभी फेअ्ल से मस्लन उसने ईजाब किया, यानी कहा मैंने यह चीज तुम्हें हिबा करदी उसने लेली, हिबा तमाम हो गया। (बहर)

मसअ्ला.11:– हिबा तमाम होने के लिये कब्जे की भी जरूरत है बिगैर इसके हिबा तमाम नहीं होता। फिर अगर उसी मज्लिस में कब्जा करे तो वाहिब की इजाजत की भी ज़रूरत नहीं और मज्लिस बदल जाने के बाद कब्जा करना चाहता है तो इजाज़त दरकार है। हाँ अगर जिस मज्लिस में हिबा किया है उसने कह दिया है कि तुम कब्जा करलो तो अब इजाज़त हासिल करने की ज़रूरत नहीं। वही पहली इजाजत काफी है। (हिदाया, दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.12:– कब्ज़े पर कादिर होना भी कब्जे ही के हुक्म में है मस्लन सन्दूक में कपड़े हैं और कपड़े हिबा करके सन्दूक उसे देदिया अगर सन्दूक मुकफ्फल है कब्ज़ा नहीं हुआ और कुफ्ल खुला हुआ है कब्जा होगया यानी हिबा तमाम होगया कि कब्ज़े पर कादिर होगया। (बहर)

मसअ्ला.13:– वाहिब ने मौहूब लहू को कब्जा करने से मना कर दिया तो अगरचे कब्ज़ा करले। यह कब्जा सही नहीं, मजलिस में कब्जा करे या बाद में इस सूरत में हिबा तमाम नहीं। (बहर)

मसअ्ला.14:– हिबा के लिये कब्जाए कामिल की जरूरत है अगर मौहूब शय (यानी जो चीज हिबा की गई है।) वाहिब की मिल्क को शागिल हो तो कब्जा कामिल होगया और हिबा तमाम होगया और इसकी मिल्क मे मशगूल है तो कब्ज़ाए कामिल नहीं हुआ मस्लन बोरी में वाहिब का गल्ला है। बोरी हिबा कर दी और मय गल्ले के कब्जा देदिया या मकान में वाहिब के सामान में मकान हिबा कर दिया और सामान के साथ कब्जा दिया हिबा तमाभ नहीं हुआ और अगर गल्ला हिबा किया, या मकान में जो चीज़ें थीं उनको हिबा किया और बोरी समीत कब्जा देदिया या मकान और सामान सब पर कब्ज़ा देदिया हिबा तमाम होगया। यूँही घोड़े पर काठी कसी हुई और लगाम लगी हुई थी काठी और लगाम को हिबा किया और घोड़े पर मय काठी और लगाम के कब्जा किया हिबा तमाम नहीं हुआ और घोड़े को हिबा किया और कब्जा देदिया अगरचे काठी और लगाम के साथ है कब्जा तमाम होगया। यूँही कनीज जेवर पहने हुए है कनीज को हिबा किया और कब्जा देदिया। हिबा तमाम होगया और जेवर को हिबा किया तो जब तक जेवर को उतारकर कब्जा न दे देगा। हिबा तमाम नहीं होगा। (बहर, दुर्रेमुख्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.15:– मौहूब चीज मिल्के गैर वाहिब में मशगूल हो और कब्जा कर लिया हिबा तमाम होगया मसलन मकान हिबा किया जिसमें मुस्ताहिक की चीजें है या उन चीजों को वाहिब या मौहूब लहु ने गसब किया है और मौहूब लहु ने मय उन चीजों के मकान पर कब्जा कर लिया हिबा तमाम होगया। (बहर)

मसअ्ला.16:– अगर नबालिग बच्चे को हिबा किया और मौहूब शय मिल्के वाहिब में मशगूल है।

मस्लन नबालिग़ लड़के को मकान हिबा किया जिसमें बाप का सामान मौजूद है यह मशगूलियत मानेअ़े तमामियत (तमाम होने के लिए रुकावट) नहीं यानि हिबा तमाम होगया यूँही मकान हिबा किया जिसमें कुछ लोग बतौर आ़रियत रहते हैं हिबा तमाम होगया और अगर किराये पर रहते हैं तो नहीं। यूँही औ़रत ने अपना मकान शौहर को हिबा किया और मकान पर शौहर को क़ब्ज़ा देदिया अगरचे इसमें औ़रत का अस़ास़ा मौजूद हो क़ब्ज़ा कामिल होगया। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– मशगूल को हिबा करने का त़रीक़ा यह है कि शागिल को मौहूब'लहु के पास पहले वदीअ़त रखदे फिर मशगूल को हिबा करके क़ब्ज़ा देदे अब हिबा स़ही हो जायेगा। मस्लन मकान में जो सामान है उसे वदीअ़त रखकर मकान पर क़ब्ज़ा दिलाये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.18:– हिबा में ज़रूरी है कि मौहूब शय ग़ैर मौहूब से जुदा हो अगर ग़ैर के साथ मुत्तस़िल हो हिबा स़ही नहीं। मस्लन दरख़्त में जो फल लगे हों उनको हिबा करना दुरुस्त नहीं। जो चीज़ हिबा की गई अगर वह क़ाबिले तक़सीम हो तो ज़रूर है कि उसकी तक़सीम होगई जो बिगैर तक़सीम किये हुए, हिबा दुरुस्त नहीं और अगर तक़सीम के क़ाबिल ही न हो यानी तक़सीम के बाद वह शय क़ाबिले इन्तिफ़ाअ् न रहे मस्लन छोटी सी कोठरी या ह़माम इनमें हिबा स़ही होने के लिये तक़सीम ज़रूर नहीं। (हिदाया, वगैरहा)

मसअ्ला.19:– जो तक़सीम के काबिल है उसको अजनबी के लिए हिबा करे या शरीक के लिये दोनों सूरतें ना'जाइज़ हैं। हाँ अगर हिबा करने के बाद वाहिब ने ख़ुद या उसके हुक्म से किसी दूसरे ने तक़सीम करके क़ब्ज़ा देदिया कि तक़सीम करके क़ब्ज़ा करलो और उसने ऐसा कर लिया इन सूरतों में हिबा जाइज़ होगया क्योंकि मानेअ् ज़ाइल हो गया (रुकावट ख़त्म होगई)। अगर बिग़ैर तक़सीम मौहूब'लहु को क़ब्ज़ा देदिया। मौहूब'लहु उस चीज़ का मालिक नहीं होगा और जो कुछ उसमें तसर्रुफ़ करेगा नाफ़िज़ नहीं होगा बल्कि उसके तसर्रुफ़ से जो नुक़सान होगा उसका ज़ामिन होगा और ख़ुद वाहिब उसमें तसर्रुफ़ करे। मसलन बैअ् कर दे उसका तसर्रुफ़ नाफ़िज़ हो जायेगा। (बह्र, दुर्रेमुख़्तार) इसका हासिल यह है कि मुशाअ् का हिबा स़ही न होने का मत़लब यह है कि क़ब्ज़े के वक़्त शुयूअ् पाया जाये और अगर हिबा के वक़्त शुयूअ् न हो तो हिबा स़ही है। मसलन मकान का निस्फ़ हिस़्सा हिबा किया और क़ब्ज़ा नहीं दिया फिर दूसरा निस्फ़ हिस़्सा हिबा किया और उस पर भी क़ब्ज़ा देदिया यह दोनों हिबा स़ही नहीं। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.20:– मुशाअ् यानी बिग़ैर तक़सीम चीज़ को बैअ् कर दिया जाये तो बैअ् स़ही है। और उसका इजारा अगर शरीक के साथ हो तो जाइज़ है। अजनबी के साथ हो तो जाइज़ नहीं बल्कि यह जारा फ़ासिद होगा इसमें उजरते मिस्ल लाज़िम होगी और मुशाअ् का आ़रियत देना, अगर शरीक को है तो जाइज़ है और अजनबी को आ़रियत के तौर पर दिया और कुल पर क़ब्ज़ा देदिया तो यह क़ब्ज़ा देना ही आ़रियत देना है और कुल पर क़ब्ज़ा न दिया तो कुछ नहीं और इसको रहन रखना जाइज़ है। वह चीज़ क़ाबिले क़िस्मत हो या न हो शरीक के पास रहन रखे या अजनबी के पास। हाँ अगर दो शख़्सों की चीज़ है दोनों ने रहन रखदी तो जाइज़ है मुशाअ् का वक़्फ़ स़ही है। मुशाअ् की वदीअ़त शरीक के पास हो तो जाइज़ है मुशाअ् को क़र्ज़ दे सकता है मसलन हज़ार रूपये दिये। और कह दिया इनमें से पाँच सौ क़र्ज़ हैं और पाँच सौ शिरकत के तौर पर यह जाइज़ है। मुशाअ् का ग़सब हो सकता है यानी ग़ासिब पर ग़सब के अहकाम जारी होंगे मुशाअ् के स़दक़े का वही हुक्म है जो हिबा का है। हाँ अगर कुल दो शख़्सों पर तस्दीक़ कर दिया यह जाइज़ है। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला21:– एक शरीक ने दूसरे से कहा कि जो कुछ नफ़ा में मेरा हिस्सा है मैंने तुमको हिबा किया अगर माल मौजूद है यह हिबा स़ही नहीं कि मुशाअ् का हिबा है और हलाक हो चुका है तो स़ही है कि यह इस्क़ात है। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.22: ग़ैर मुन्क़सिम (तक़सीम न होने वाली) चीज़ में मुशाअ् का हिबा किया मौहूब'लहू उस जुज़

का मालिक होगया। मगर तक़सीम का मुतालबा नहीं कर सकता। दोनों इस चीज़ से नौबत ब'नौबत नफ़ा हासिल करें मसलन एक महीना एक से काम ले और दूसरे महीने में दूसरा यह हो सकता है मगर इस पर भी जब्र नहीं हो सकता कि यह एक क़िस्म की आ़रियत है और आ़रियत पर जब्र नहीं। (बहर)

मसअ्ला.23:– जो मुशाअ् ग़ैर क़ाबिले क़िस्मत (जो हिस्सा तक़सीम के लाइक़ नहीं) है उसका हिबा सही होने के लिये यह शर्त है कि उसकी मिक़दार मा़लूम हो या़नी उस चीज़ में उसका हिस्सा इतना है जिसको हिबा करता है अगर मा़लूम न हो तो हिबा सही नहीं मस्लन गुलाम दो लोगों में मुश्तरक है उसको मा़लूम नहीं मेरा हिस्सा कितना है और हिबा कर दिया एक रूपया दो लोगों को हिबा किया यह सही है क्योंकि निस्फ़ निस्फ़ दोनों का हिस्सा हुआ और यह मा़लूम है और अगर वाहिब के पास दो रूपये हैं उसने यह कहा कि इनमें से मैंने एक रूपया हिबा किया और उसे जुदा न किया, यह हिबा सही नहीं हुआ। एक गुलाम दो शख़्सों में मुश्तरक है उनमें से एक ने उस गुलाम को कोई चीज़ हिबा करदी, अगर वह चीज़ क़ाबिले तक़सीम है हिबा बिल्कुल सही नहीं और क़ाबिले तक़सीम नहीं तो शरीक के हिस्से में सही है या़नी उस गुलाम में जितना हिस्सा उसके शरीक का है शय मौहूब के उतने ही हिस्से का हिबा सही है और जितना हिस्सा उस गुलाम में वाहिब का है उस मुक़ाबिल में मौहूब के हिस्से का हिबा सही नहीं। मजहूल हिस्से का हिबा सही नहीं। इससे मुराद यह है कि वह जिहालत बाइसे नज़ाअ् होसके और अगर बाइसे नज़ाअ् न हो मसलन यह कह दिया कि इस घर में जो कुछ मेरा हिस्सा है हिबा कर दिया यह जाइज़ है अगरचे मौहूब'लहू को मा़लूम न हो कि क्या हिस्सा है क्योंकि यह जिहालत दूर होसकती है और अगर बहुत ज़्यादा जिहालत हो तो ना'जाइज़ है मसलन मैंने तुमको कुछ हिबा कर दिया। (बहर, मिन्हा)

मसअ्ला.24:– शुयूअ् जो तमामियते क़ब्ज़े (क़ब्ज़े के मुकम्मल होने) को रोकता है वह शुयूअ् है जो अक़्द के साथ मक़ारिन हो अक़्द के बा़द जो शुयूअ् ता़री होगा। वह मानेअ् नहीं मस्लन पूरी चीज़ हिबा करदी और क़ब्ज़ा देदिया उसके बा़द उसमें से जुज़े शाइअ् निस्फ़ रुबा वापस ले लिया यहाँ शुयूअ् पैदा होगया जो पहले से न था यह मानेअ् नहीं। शुयूअ् ता़री की एक मिसा़ल यह भी है कि मरज़ुलमौत में अपना मकान हिबा करा दिया और इस मकान के सिवा उसके पास कोई दूसरा तर्का नहीं है यह वाहिब मर गया वुरसा ने इस हिबा को जाइज़ नहीं किया, इसका हा़सिल यह हुआ कि एक तिहाई हिबा हुआ और दो तिहाईयाँ वुरसा की हैं। यहाँ हिबा में शुयूअ् हो मगर वक़्ते अक़्द में नहीं है बा़दे अक़्द हुआ जबकि वुरसा ने जाइज़ न किया जिस चीज़ को हिबा किया उसमें किसी ने इस्तेहक़ाक़ का दा़वा किया कि इस चीज़ में इतने का मैं मालिक हूँ अगरचे यह दा़वा बा़द में हुआ मगर शुयूअ् अब पैदा नहीं हुआ बल्कि पहले से ही है कि यह शख़्स इसके एक जुज़ का पहले से ही मालिक था और अब ज़ाहिर हुआ लिहाज़ा एक शख़्स ने खेत और ज़राअ़त दोनों चीज़ें एक शख़्स को हिबा करदीं और क़ब्ज़ा भी देदिया। इसके बा़द ज़राअ़त में एक शख़्स ने दा़वा किया कि मेरी है और सा़बित कर दिया क़ाज़ी ने हुक्म भी देदिया, ज़राअत तो मुस्तहिक़ ने ले ही ली। ज़मीन का हिबा भी बाति़ल होगया क्योंकि मोहतमिले क़िस्मत में(जिस में तक़सीम का एहतिमाल हो)शुयूअ् है।(बहर,दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.25:– थन में दूध, भेड़ की पीठ पर ऊन, ज़मीन में दरख़्त, दरख़्त में फल, यह चीज़ें मुशाअ् के हुक्म में हैं कि इनका हिबा सही नहीं मगर दूध, दुहकर, ऊन काट कर, फल तोड़ कर, मौहूब'लहु को तस्लीम कर दिये तो हिबा जाइज़ होगया कि मानेअ् ज़ाइल होगया ज़राअ़त जो खेत में है तलवार का हिलिया, अशर्फ़ी जो पहने हुए है ढेरी में से दस, पाँच सेर ग़ल्ले का हिबा करना भी वही हुक्म रखता है कि जुदा करके मौहूब पर क़ब्ज़ा देदिया दुरूस्त है, वरना नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.26:– मा़दूम शय का हिबा बाति़ल है क़ब्ज़ा देने के बा़द भी मौहूब'लहु की मिल्क नहीं होगी। मसलन कहा, इन गेहूँओं का आटा हिबा कर दिया, तिलों में जो तेल है हिबा किया, दूध में जो घी है हिबा किया, लौंडी के पेट में जो हमल है वह हिबा किया, इन सूरतों में अगर आटा

पिसवाकर, तिलों को पिलवाकर, दूध में से घी निकालकर, मौहूब'लहु को दे भी दे जब भी उसकी मिल्क नहीं होगी हाँ अब जदीद हिबा करे, तो हो सकता है। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.27:– एक शख़्स को एक चीज़ हिबा की, मौहूब'लहु ने क़ब्ज़ा नहीं किया, फिर उस शख़्स ने दूसरे को वही चीज़ हिबा करदी और दोनों से क़ब्ज़ा करने को कह दिया या दोनों ने क़ब्ज़ा कर लिया तो चीज़ दूसरे मौहूब'लहु की होगी, पहले की नहीं होगी और अगर वाहिब ने पहले मौहूब'लहु को क़ब्ज़ा करने लिये कह दिया उसने क़ब्ज़ा कर लिया तो यह क़ब्ज़ा बातिल है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.28:– एक चीज़ ख़रीदी और क़ब्ज़ा करने से पहले किसी को हिबा करदी और मौहूब'लहु से कह दिया कि तुम क़ब्ज़ा करलो उसने कर लिया, हिबा तमाम होगया। रहन का भी यही हुक्म है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.29:– यह कहा कि इस ढेरी में से तुम को इतना ग़ल्ला दिया तुम नापकर लेलो उसने नाप लिया, जाइज़ है और अगर फ़क़त इतना ही कहा कि इतना ग़ल्ला दिया यह न कहा कि नाप लो और उसने नापकर लेलिया तो ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.30:– जो चीज़ हिबा की है वह पहले से ही मौहूब'लहू के क़ब्ज़े में है तो ईजाब व क़बूल करते ही उसकी मिल्क होगई जदीद क़ब्ज़े की ज़रूरत नहीं मौहूब'लहू का वह क़ब्ज़ा क़ब्ज़–ए–अमानत हो या क़ब्ज़–ए–ज़मान मस्लन उसके पास आरियत या वदीअ़त के तौर पर है या किराये पर है या उसने ग़सब कर रखी है। उसका क़ायदा किताबुल बुयूअ़ में बयान किया गया है कि वह क़ब्ज़े अगर एक जिन्स के हों यानी दोनों क़ब्ज़–ए–अमानत हों या दोनों क़ब्ज़–ए–ज़मान हों उनमें एक दूसरे के क़ायम मक़ाम हो जायेगा अगर दोनों दो जिन्सों के हों। तो क़ब्ज़–ए–ज़मान क़ब्ज–ए–अमानत के क़ायम मक़ाम होजायेगा और क़ब्ज़–ए–अमानत क़ब्ज़–ए–ज़मान के क़ायम मक़ाम नहीं होगा। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.31:– मरहून को मुरतहिन के लिए हिबा किया, हिबा तमाम होगया क्योंकि मुरतहिन का क़ब्ज़ा पहले से ही है और रहन बातिल होगया यानी मुरतहिन अपना दैन राहिन से वुसूल करेगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.32:– जो शख़्स नाबालिग़ का वली है अगरचे उसको नाबालिग़ के माल में तसर्रुफ़ करने का इख़्तियार न हो यह जब कभी नाबालिग़ को हिबा करदे तो महज़ अ़क़्द करने से यानी फ़क़त ईजाब से हिबा तमाम होजायेगा बशर्ते शय मौहूब, वाहिब या उसके मूदा के क़ब्ज़े में हो मा'लूम हुआ कि बाप के हिबा का जो हुक्म है बाप न होने की सूरत में चचा या भाई वग़ैरहा का भी वही हुक्म है। बशर्ते ना'बालिग़ उनकी अ़याल में हो इस हिबा में बाज़ अइम्मा का इरशाद है कि गवाह मुक़र्रर करले यह इशहाद हिबा की सेहत के लिए शर्त नहीं बल्कि इस लिए है ताकि वह आइन्दा इन्कार न कर सके या उसके मरने के बाद दूसरे वुरसा इस हिबा से इन्कार न कर दें। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.33:– नाबालिग़ लड़के को जो माल हिबा किया, वह न वाहिब के क़ब्ज़े में है न उसके मूदा के क़ब्ज़े में है बल्कि ग़ासिब या मुरतहिन या मुस्ताजिर के क़ब्ज़े में है तो हिबा तमाम नहीं(आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– मज़रूआ ज़मीन (ऐसी ज़मीन जिस में खेती होती हो) अपने ना'बालिग़ लड़के को हिबा की, अगर ज़राअत ख़ुद उसी की है हिबा सही होगया और काश्तकार ने खेत बोया है तो हिबा सही न हुआ कि वाहिब के क़ब्ज़े में नहीं है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.35:– सदक़े का भी यही हुक्म है कि नाबालिग़ को उसके वली ने सदक़ा किया तो क़ब्ज़े की ज़रूरत नहीं अगर नाबालिग़ का वली न हो तो उसकी माँ भी सही हुक्म रखती है कि महज़ हिबा करदेने से मौहूब'लहू मालिक होजायेगा बालिग़ लड़का अगरचे उसकी अ़याल में हो उसका हुक्म यह नहीं है वह जब तक क़ब्ज़ा न करे मालिक न होगा। माँ ने अपना महर लड़के को हिबा कर दिया, यह हिबा तमाम न होगा जब तक माँ ने ख़ुद उस पर क़ब्ज़ा न किया हो और लड़के को क़ब्ज़ा न करादे। (बहर)

मसअ्ला.36:– बेटे को तसर्रुफ के लिए अम्वाल दे रखें हैं बेटा काम करता है और माल में इजाफा हुआ अगर यह साबित हो कि बाप ने इसे हिबा करदिया जब तो उसका है वरना सब कुछ बाप का है उसके मरने के बाद मीरास जारी होगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.37:– नाबालिग को किसी अजनबी ने कोई चीज हिबा की, यह उस वक्त तमाम होगा कि वली उसपर कब्ज़ा करले इस मकाम पर वली से मुराद चार शख्स हैं। (1) बाप (2) फिर उसका वसी (3) फिर उसका दादा (4) फिर उसका वसी, इस सूरत में यह जरूरी नहीं कि नाबालिग वली की परवरिश में हो इन चार की मौजूदगी में कोई शख्स इस पर कब्ज़ा नहीं कर सकता चाहे इस काबिज़ की अयाल में वह नाबालिग हो, या न हो वह काबिज जूरहम मोहरिम हो या अजनबी हो। मौजूदगी से मुराद यह है कि वह हाजिर हों अगर गायब हों और गीबत भी मुन्कता हो तो इसके बाद जिसका मर्तबा हो वह कब्जा करे। (बहर)

मसअ्ला.38:– इन चारों में से कोई न हो तो चचा वगैरा जिस अयाल में नाबालिग हो वह कब्जा करे माँ या अजनबी की परवरिश में हो तो यह कब्ज़ा करेंगे और अगर वह बच्चा लकीत है यानी कहीं पड़ा हुआ मिला है उसके लिये कोई चीज़ हिबा की गई तो मुलतकित कब्जा करे। (दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.39:– नाबालिग अगर समझदार हो माल लेना जानता हो तो वह खुद भी मौहूब पर कब्जा कर सकता है अगरचे उसका बाप मौजूद हो और जिस तरह यह नाबालिग कब्ज़ा कर सकता है। हिबा को रद्द भी कर सकता है यानी छोटे बच्चे को किसी ने कोई चीज दी तो वह ले भी सकता है और इन्कार भी कर सकता है जिसने नाबालिग को हिबा किया है वह हिबा की हुई चीज वापस ले सकता है। काज़ी को चाहिए कि नाबालिग को जो चीज़ हिबा की गई है उसे बैअ् करदे ताकि वाहिब रूजुअ् न कर सके। (बहर)

मसअ्ला.40:– नाबालिग को मिठाई और फल वगैरा खाने की चीज़ें हिबा की जायें उनमें से वालिदैन खा सकते हैं यह उस वक्त है कि करीने से मालूम हो कि खास इस बच्चे को ही देना नहीं बल्कि वालिदैन को देना मकसूद है मगर उनकी इज़्ज़त का लिहाज रखते हुए यह चीज हकीर मालूम होती है उनको देते हुए लिहाज़ मालूम होता है बच्चे का नाम ले देते हैं और अगर करीने से यह मालूम होता हो कि खास इसी बच्चे को देना मकसूद है तो वालिदैन नहीं खा सकते मस्लन कोई चीज़ खा रहा है किसी का बच्चा वहाँ पहुँच गया ज़रासी उठाकर बच्चे को देदी यहाँ मालूम हो रहा है कि वालिदैन को देना मकसद नहीं है इससे यह मालूम हुआ कि जो चीज़ खाने की न हो ना'बालिग को दी जाये तो वालिदैन को बिगैर हाजत इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। (दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.41:– खतना की तकरीब में रिश्तेदारों के यहाँ से जोड़े वगैरा आते हैं। सेहरे पर रूपये दिये जाते हैं और जोड़े भी तरह तरह के होते हैं इनमें से जिन चीज़ों की निस्बत मालूम हो कि बच्चे के लिये हैं मस्लन छोटे कपड़े जो बच्चे के मुनासिब हैं। यह उसी बच्चे के लिये हैं। वरना वालिदैन के लिए हैं अगर बाप के अकरबा (रिश्तेदारों) ने हदिया किया है तो बाप के लिये हैं माँ के रिश्तेदारों ने हदिया किया है तो माँ के लिये हैं। (दुर्रेमुख्तार) मगर यहाँ हिन्दुस्तान का उर्फ यह है कि बाप के कुन्बे के लोग भी ज़नाना जोड़ा भेजते हैं कपड़े जो माँ के लिये होता है। और ननिहाल से भी मर्दाना जोड़ा भेजा जाता है जिसका साफ यही मकसद है कि मर्द के लिये मर्दाना जोड़ा है और औरत के लिये ज़नाना अगरचे कहीं से आया हो। दीगर तकरीबात मस्लन बिस्मिल्लाह के मौके पर और शादी के मौके पर तरह तरह के हदये आते हैं और वह चीजें किस के लिये हैं उसके मुताल्लिक जो उर्फ हो उस पर अमल किया जाये और अगर भेजने वाले ने तस्रीह करदी है तो यह सबसे बढ़कर है। चुनान्चे अकस्र तकरीबात में यही होता है कि नाम ब'नाम सारे घर के लिये जोड़े भेजे जाते हैं बल्कि मुलाज़ेमीन के लिये भी जोड़े आते हैं इस सूरत में जिसके लिये जो आया है वही ले सकता है दूसरा नहीं ले सकता।

मसअ्ला.42:– शादी वग़ैरा में तमाम तक़रीबात में त़रह त़रह की चीज़ें भेजी जाती हैं इसके मुताल्लिक़ हिन्दुस्तान में मुख़्तलिफ़ क़िस्म की रस्में हैं हर शहर में हर क़ौम की जुदा जुदा रूसूम हैं उनके मुताल्लिक़ हदिया और हिबा का हुक्म है या क़र्ज़ का उ़मूमन रिवाज से जो बात स़ाबित होती है वह यह है कि देने वाले यह चीज़ें बतौर क़र्ज़ देते हैं इसी वजह से शादियों में और हर तक़रीब में जब रूपये दिये जाते हैं तो हर एक शख़्स़ का नाम और रक़म तहरीर कर लेते हैं जब उस देने वाले के यहाँ तक़रीब होती है तो यह शख़्स़ जिसके यहाँ दिया जा चुका है फ़ेहरिस्त निकालता है। और इतने रूपये ज़रूर देता है जो उसने दिये थे और उसके ख़िलाफ़ करने में सख़्त बदनामी होती है और मौक़ा पाकर कहते भी हैं कि न्योते का रूपया नहीं दिया अगर यह क़र्ज़ न समझते होते, तो ऐसा उ़र्फ़ न होता जो उ़मूमन हिन्दुस्तान में है।

मसअ्ला.43:– एक शख़्स़ परदेस से आया और जिसके यहाँ उतरा उसको कुछ तोहफ़े दिये और यह कहा कि इसको अपने घर वालों में तक़सीम करदो और ख़ुद भी लेलो उससे दरयाफ़्त करना चाहिए, कि क्या चीज़ किसे दी जाये और अगर वह मौजूद न हो चला गया हो तो जो चीज़ औरतों के लाइक़ हो औ़रत को दे और जो लड़कियों के मुनासिब हो, लड़कियों को दे और जो लड़कों के मुनासिब हो लड़कों को दे और जो चीज़ ख़ुद उसके मुनासिब हो, ख़ुद ले और जो चीज़ ऐसी हो कि मर्द व औ़रत दोनों के लिये यक्साँ हो तो देखा जायेगा कि वह देने वाला मर्द का रिश्तेदार है तो मर्द ले और औ़रत का रिश्तेदार है तो औ़रत ले। (आलमगीरी)

मसअ्ला.44:– बाज़ औलाद के साथ ज़्यादा मुहब्बत हो। बाज़ के साथ कम यह कोई मलामत की चीज़ नहीं क्योंकि यह फ़ेअ्ल ग़ैर इख़्तियारी है और अ़तिये (कोई चीज़ देने) में अगर यह इरादा हो कि बाज़ को ज़रर (नुकसान) पहुँचादे तो सब में बराबरी करे कमो बेश न करे कि यह मकरूह है। हाँ अगर औलाद में एक को दूसरे पर दीनी फ़ज़ीलत व तरजीह़ है मसलन एक आ़लिम है जो ख़िदमते इल्मे दीन में मस़रूफ़ है या इबादत व मुजाहिदा में इश्तेग़ाल रख़ता है (इबादत और इल्म की ख़िदमत में लगा रहता है) ऐसे को अगर ज़्यादा दे और जो लड़के दुनिया के कामों में इश्तेग़ाल रखते हैं (लगे रहते है) उन्हें कम दे, यह जाइज़ है इसमें किसी क़िस्म की कराहत नहीं, यह हुक्म दयानत का है और क़ज़ा का हुक्म यह है कि वह अपने माल का मालिक है ह़ालते सेह़त में अपना सारा सामान एक ही लड़के को देदे और दूसरों को कुछ न दे, यह कर सकता है दूसरे लड़के किसी क़िस्म का मुत़ालबा नहीं कर सकते मगर ऐसा करने में गुनाहगार है। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.45:– औलाद को हिबा करने में लड़की और लड़का दोनों को बराबर दे यह नहीं कि लड़के को लड़की से दो चन्द देदे। जिस त़रह मीरास़ में होता है कि लड़के को लड़की से दूना मिलता है हिबा में ऐसा नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.46:– लड़का अगर फ़ासिक़ है तो उसको सिर्फ़ बक़द्र ज़रूरत दे ज़्यादा देने का मत़लब यह होगा कि यह गुनाह के काम में इसका मुईन है। लड़का फ़ासिक़ है यह गुमान है कि इसके बाद यह अम्वाल बदकारी और गुनाह में ख़र्च कर डाले इस सूरत में उसे मीरास़ से मह़रूम करने में गुनाह नहीं कि यह ह़क़ीक़तन मीरास़ से मह़रूम करना नहीं है बल्कि अपने अम्वाल और अपनी कमाई को ह़राम में ख़र्च करने से बचाना है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.47:– बाप को यह जाइज़ नहीं कि ना'बालिग़ लड़के का माल दूसरे लोगों में हिबा करदे। अगरचे मुआवज़ा लेकर हिबा करे कि यह भी ना'जाइज़ है और ख़ुद बच्चा भी अपना माल हिबा करना चाहे तो नहीं कर सकता यानी उसने हिबा करदिया और मौहूब'लहू को देदिया उससे वापस लिया जायेगा कि हिबा जाइज ही नहीं। (बहर, दुर्रेमुख़्तार) यही हुक्म स़दक़े का है कि नाबालिग़ अपना माल न ख़ुद स़दक़ा कर सकता है न उसका बाप यह बात निहायत याद रखने की है अकस़र ना'बालिग़ से चीज़ लेकर इस्तेमाल कर लेते हैं समझते हैं कि उसने देदी यह देना, न देने के हुक्म

में है। बाज़ लोग दूसरे के बच्चे से पानी भरवाकर पीते, या वुज़ू करते हैं या दूसरी तरह इस्तेमाल करते हैं यह ना'जाइज़ है कि इस पानी का वह बच्चा मालिक होजाता है और हिबा नहीं कर सकता फिर दूसरे को क्योंकर जाइज़ होगा। अगर वालिदैन बच्चे को इस लिये चीज़ दें कि यह लोगों को हिबा करदे या फ़क़ीरों को सदक़ा करदे ताकि देने और सदक़ा करने की आदत हो और माले दुनिया की मुहब्बत कम हो तो यह हिबा व सदक़ा जाइज़ है कि यहाँ ना'बालिग़ के माल का हिबा व सदक़ा नहीं बल्कि बाप का माल है और बच्चा देने के लिये वकील है जिस तरह उमूमन दरवाज़ों पर साइल जब सवाल करते हैं तो बच्चों ही से भीक दिलवाते हैं।

मसअ्ला.48:– बच्चे ने हदिया पेश किया और यह कहा कि मेरे वालिद ने यह हदिया आप के पास भेजा है इसको लेना और खाना जाइज़ है मगर जब यह गुमान हो कि इसके बाप ने नहीं भेजा है। यह खुद लाया है और यह ग़लत है कि इसके बाप ने भेजा है तो न ले। (आलमगीरी)

मसअ्ला.49:– बच्चा पैदा होने से पहले ही कपड़े इस लिए बनाये कि जब पैदा होगा तो उन पर रखा जायेगा मस्लन तकिया, गद्दा वह पैदा हुआ और उसी पर रखा गया फिर मरगया। कपड़े मीरास् क़रार नहीं पायेंगे जब तक उसने यह इक़रार न किया हो कि यह कपड़े लड़के की मिल्क हैं और बदन के कपड़े जो पहनने के हैं जब उन्हें बच्चे ने पहन लिया मालिक होगया और मीरास् हैं(बहर)

मसअ्ला.50:– ना'बालिग़ा लड़की शौहर के यहाँ रुख़्सत होकर चली गई उसको अगर कोई चीज़ हिबा करदी जाये और शौहर क़ब्ज़ा करले, हिबा तमाम होजायेगा उसका बाप ज़िन्दा हो, या मरगया हो दोनों सूरतों में क़ब्ज़ा कर सकता है। वह ना'बालिग़ा क़ाबिले जिमाअ् हो, या न हो दोनों का एक हुक्म है और ना'बालिग़ा के बाप ने या खुद उसने जब कि समझदार हो क़ब्ज़ा किया यह भी हो सकता है यानी शौहर ही का क़ब्ज़ा करना ज़रूरी नहीं और अगर ज़ौजा बालिग़ा है तो उसके खुद क़ब्ज़ा करने की ज़रूरत है शौहर का क़ब्ज़ा काफ़ी नहीं और अगर ना'बालिग़ा है और अभी रूख़्सत भी नहीं हुई है तो शौहर का क़ब्ज़ा इस सूरत में भी काफ़ी नहीं बल्कि उसके बाप वग़ैरा जिनके क़ब्ज़े का ऊपर ज़िक्र किया गया है वह क़ब्ज़ा कर सकते हैं। (बहर)

मसअ्ला.51:– एक शख़्स ने दो कपड़े एक शख़्स को दिये और यह कहा कि एक तुम्हारा है और एक तुम्हारे लड़के का है और जुदा होने से क़ब्ल यह नहीं मुतअय्यन किया कि कौन किसका है। यह हिबा जाइज़ नहीं और बयान करदिया तो जाइज़ है। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.52:– दो शख़्सों ने एक शख़्स को मकान जो क़ाबिले क़िस्मत (तक़सीम के लाइक़) है। हिबा कर दिया और क़ब्ज़ा देदिया हिबा सही है कि यहाँ शुयूअ् (हिस्से) नहीं हैं और अगर एक ने दो शख़्सों को हिबा किया और यह दोनों बालिग़ हैं या एक बालिग़ है दूसरा ना'बालिग़ और यह ना'बालिग़ इसी की परवरिश में है और फ़क़ीर भी नहीं है। और यह मकान क़ाबिले तक़सीम है तो हिबा सही नहीं कि मुशाअ् का हिबा है और अगर एक ने एक ही को हिबा किया है मगर मौहूब'लहू ने दो शख़्सों को क़ब्ज़े के लिये वकील किया है तो यह हिबा जाइज़ है और अगर दो शख़्सों ने एक मकान दो शख़्सों को हिबा किया कि एक ने अपना हिस्सा एक को हिबा किया और दूसरे ने अपना हिस्सा दूसरे को तो यह हिबा ना'जाइज़ है और अगर बाप ने अपने दो बेटों को हिबा किया और दोनों बालिग़ हैं या एक बालिग़ है दूसरा नाबालिग़ तो हिबा सही नहीं और अगर दोनों नाबालिग़ हैं तो सही है। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.53:– दस रूपये दो फ़क़ीरों पर तसद्दुक़ (सदक़ा करना) किये या हिबा किये, यह जाइज़ है यानी सदक़े में शुयूअ् मानेअ़े सेहत नहीं (शुयूअ् सहीह होने को नहीं रोकता) कि सदक़े में अल्लाह की रज़ा मक़सूद है। वह एक है। फ़क़ीर का एक होना, या मुतअ़द्दिद होना इस का लिहाज़ नहीं। और फ़क़ीर को सदक़ा करना या हिबा करना दोनों का एक मतलब है। यानी बहर सूरत सदक़ा है और दो शख़्स ग़नी हैं उनको दस रूपये हिबा किये या सदक़ा किये यह दोनों ना'जाइज़ हैं कि यहाँ

दोनों लफ़्ज़ों से हिबा ही मुराद है और हिबा में शुयूअ् मानेअ् है क्योंकि यहाँ अग़निया की रज़ा'मन्दी मक़सूद है और वह मुतअद्दिद हैं और सही न होने का इस मक़ाम पर मतलब यह है कि वह दोनों मालिक नहीं होंगे अगर दोनों की तक़सीम करके क़ब्ज़ा देदिया दोनों मालिक होजायेंगे।(बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.54:– दीवार उसके मकान में और पड़ोसी के मकान में मुश्तरक है उसने वह दीवार पड़ोसी को हिबा करदी यह जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.55:– मरीज़ सिर्फ़ सुलुस माल से हिबा कर सकता है और यह हिबा भी उस वक़्त सही है कि मौहूब'लहू उसकी ज़िन्दगी में क़ब्ज़ा करे क़ब्ज़े से पहले मरीज़ मरगया तो हिबा बातिल होगया(आलमगीरी)

हिबा वापस लेने का बयान

किसी को चीज़ देकर वापस लेना बहुत बुरी बात है। हदीस में इरशाद हुआ। इसकी मिसाल ऐसी है जिस तरह कुत्ता क़य करके फिर चाट जाता है लिहाज़ा मुसलमान को इससे बचना चाहिए। मगर चूँकि हिबा ऐसा तसर्रुफ़ है कि वाहिब पर लाज़िम नहीं अगर देकर वापस ही लेना चाहे तो क़ाज़ी वापस कर देगा। उसे न वापस लेने पर मजबूर नहीं करेगा और यह वापस लेने का हुक्म हदीस से साबित है मगर सब जगह वापस नहीं कर सकता बाज़ सूरतें ऐसी हैं कि उनमें वापस ले सकता है और बाज़ में नहीं। यहाँ उसकी तफ़सील बयान की जाती है।

मसअ्ला.1:– हिबा में अगर मौहूब'लहू का क़ब्ज़ा ही नहीं हुआ है तो अभी हिबा की तमामियत ही नहीं हुई है अगर वाहिब ने रुजूअ् कर लिया तो हिबा भी ख़त्म होगया। इसको रुजूअ् नहीं कहते। रुजूअ् यह है कि तमाम होचुका है मौहूब'लहु ने क़ब्ज़ा करलिया है उसके बाद वापस ले।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– मौहूब'लहु को क़ब्ज़ा देदिया तो अब रुजूअ् करने के लिये क़ाज़ी का हुक्म देना या मौहूब'लहू का राज़ी होना ज़रूरी है और क़ब्ज़ा न किया हो तो इसकी ज़रूरत नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– वाहिब ने कह दिया कि मैं इस हिबा को वापस नहीं लूँगा। जब भी वापस ले सकता है। इसका यह कह देना मानेअ् रुजुअ् नहीं (लौटाने को ख़त्म नहीं करता)। (बहर) और अगर हक़्क़े रुजूअ् से मुसालहत करली है तो रुजूअ् नहीं कर सकता कि सुलह में जो चीज़ दी है हिबा का एवज़ है(आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– एक शख़्स ने दूसरे से कहा कि फुलाँ को मेरी तरफ़ से एक हज़ार रूपये हिबा कर दो उसने करदिये और मौहूब'लहु ने क़ब्ज़ा भी कर लिया, हिबा तमाम होगया दूसरा शख़्स वापस नहीं ले सकता न पहले से ले सकता है न मौहूब'लहू से। और वह पहला चाहे तो मौहूब'लहु से वापस ले सकता है कि वाहिब यही है वह देने वाला मुतबर्रा है और अगर पहले ने यह कहा कि फुलाँ को एक हज़ार हिबा करदो मैं उसका ज़ामिन हूँ और उसने देदिये तो पहला शख़्स ज़ामिन है दूसरा उससे ले सकता है मौहूब'लहु से नहीं ले सकता और यह पहला शख़्स मौहूब'लहु से वापस ले सकता है। (बहर)

मसअ्ला.5:– सदक़ा देकर वापस लेना जाइज़ नहीं लिहाज़ा जिसको सदक़ा दिया था। उसने आरियत या वदीअ़त समझकर वापस कर कुछ दिनों के बाद वापस दिया उसको लेना जाइज़ नहीं। और ले लिया तो वापस करदे।(आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– दैन के हिबा में रुजूअ् कर सकता है मसलन दाइन ने मदयून को दैन हिबा कर दिया और मदयून ने क़बूल कर लिया दाइन वापस नहीं ले सकता कि यह इस्क़ात है मगर क़बूल करने से पहले वापस ले सकता है। (बहर)

मसअ्ला.7:– रुजूअ् करने के लिए ज़रूरी है कि रुजूअ् के अल्फ़ाज़ बोले, मसलन रुजूअ् किया, वापस लिया, हिबा को तोड़ दिया, बातिल करदिया, और अगर अल्फ़ाज़ नहीं बोले बल्कि इस चीज़ को बैअ् कर दिया या अपनी चीज़ में ख़लत कर दिया या कपड़ा था रंग दिया, या ग़ुलाम था आज़ाद कर दिया यह रुजूअ् नहीं बल्कि यह तसर्रुफ़ात बेकार हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– वाहिब को मौहूब'लहू से ख़रीदना न चाहिए कि यह भी रुजूअ् के माने में है क्योंकि मौहूब'लहु यह ख़्याल करेगा कि यह चीज़ इसी की दी हुई है पूरे दाम लेने से उसे शर्म आयेगी।

दोनों लफ़्ज़ों से हिबा ही मुराद है और हिबा में शुयूअ़ मानेअ़ है क्योंकि यहाँ अग़निया की रज़ा'मन्दी मक़सूद है और वह मुतअ़द्दिद हैं और सही न होने का इस मकाम पर मतलब यह है कि वह दोनों मालिक नहीं होंगे अगर दोनों की तक़सीम करके क़ब्ज़ा देदिया दोनों मालिक होजायेंगे।(बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.54:– दीवार उसके मकान में और पड़ोसी के मकान में मुश्तरक है उसने वह दीवार पड़ोसी को हिबा करदी यह जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.55:– मरीज़ सिर्फ़ सुलुस माल से हिबा कर सकता है और यह हिबा भी उस वक़्त सही है कि मौहूब'लहू उसकी ज़िन्दगी में क़ब्ज़ा करे क़ब्ज़े से पहले मरीज़ मरगया तो हिबा बातिल होगया(आलमगीरी)

हिबा वापस लेने का बयान

किसी को चीज़ देकर वापस लेना बहुत बुरी बात है। हदीस में इरशाद हुआ। इसकी मिसाल ऐसी है जिस तरह कुत्ता क़य करके फिर चाट जाता है लिहाज़ा मुसलमान को इससे बचना चाहिए। मगर चूँकि हिबा ऐसा तसर्रुफ़ है कि वाहिब पर लाज़िम नहीं अगर देकर वापस ही लेना चाहे तो क़ाज़ी वापस कर देगा। उसे न वापस लेने पर मजबूर नहीं करेगा और यह वापस लेने का हुक्म हदीस से साबित है मगर सब जगह वापस नहीं कर सकता बाज़ सूरतें ऐसी हैं कि उनमें वापस ले सकता है और बाज़ में नहीं। यहाँ उसकी तफ़सील बयान की जाती है।

मसअ्ला.1:– हिबा में अगर मौहूब'लहू का क़ब्ज़ा ही नहीं हुआ है तो अभी हिबा की तमामियत ही नहीं हुई है अगर वाहिब ने रुजूअ़ कर लिया तो हिबा भी ख़त्म होगया। इसको रुजूअ़ नहीं कहते। रुजूअ़ यह है कि तमाम होचुका है मौहूब'लहु ने क़ब्ज़ा करलिया है उसके बाद वापस ले।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– मौहूब'लहु को क़ब्ज़ा देदिया तो अब रुजूअ़ करने के लिये क़ाज़ी का हुक्म देना या मौहूब'लहू का राज़ी होना ज़रूरी है और क़ब्ज़ा न किया हो तो इसकी ज़रूरत नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– वाहिब ने कह दिया कि मैं इस हिबा को वापस नहीं लूँगा। जब भी वापस ले सकता है। इसका यह कह देना मानेअ़ रुजुअ़ नहीं (लौटाने को ख़त्म नहीं करता)। (बहर) और अगर हक़्क़े रुजूअ़ से मुसालहत करली है तो रुजूअ़ नहीं कर सकता कि सुलह में जो चीज़ दी है हिबा का एवज़ है(आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– एक शख़्स ने दूसरे से कहा कि फुलाँ को मेरी तरफ़ से एक हज़ार रूपये हिबा कर दो उसने करदिये और मौहूब'लहु ने क़ब्ज़ा भी कर लिया, हिबा तमाम होगया दूसरा शख़्स वापस नहीं ले सकता न पहले से ले सकता है न मौहूब'लहू से। और वह पहला चाहे तो मौहूब'लहु से वापस ले सकता है कि वाहिब यही है वह देने वाला मुतबर्रा है और अगर पहले ने यह कहा कि फुलाँ को एक हज़ार हिबा करदो मैं उसका ज़ामिन हूँ और उसने देदिये तो पहला शख़्स ज़ामिन है दूसरा उससे ले सकता है मौहूब'लहु से नहीं ले सकता और यह पहला शख़्स मौहूब'लहु से वापस ले सकता है। (बहर)

मसअ्ला.5:– सदक़ा देकर वापस लेना जाइज़ नहीं लिहाज़ा जिसको सदक़ा दिया था। उसने आ़रियत या वदीअ़त समझकर वापस कर कुछ दिनों के बाद वापस दिया उसको लेना जाइज़ नहीं। और ले लिया तो वापस करदे।(आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– दैन के हिबा में रुजूअ़ कर सकता है मसलन दाइन ने मदयून को दैन हिबा कर दिया और मदयून ने क़बूल कर लिया दाइन वापस नहीं ले सकता कि यह इस्क़ात है मगर क़बूल करने से पहले वापस ले सकता है। (बहर)

मसअ्ला.7:– रुजूअ़ करने के लिए ज़रूरी है कि रुजूअ़ के अल्फ़ाज़ बोले, मसलन रुजूअ़ किया, वापस लिया, हिबा को तोड़ दिया, बातिल करदिया, और अगर अल्फ़ाज़ नहीं बोले बल्कि इस चीज़ को बैअ़ कर दिया या अपनी चीज़ में ख़लत कर दिया या कपड़ा था रंग दिया, या ग़ुलाम था आज़ाद कर दिया यह रुजूअ़ नहीं बल्कि यह तसर्रुफ़ात बेकार हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– वाहिब को मौहूब'लहू से ख़रीदना न चाहिए कि यह भी रुजूअ़ के माने में है क्योंकि मौहूब'लहु यह ख़्याल करेगा कि यह चीज़ इसी की दी हुई है पूरे दाम लेने से उसे शर्म आयेगी।

मगर बाप ने बेटे को कोई चीज़ दी है फिर ख़रीदना चाहता है तो ख़रीद सकता है कि शफ़क़ते पिदरी कम दाम देने से रोकेगी। (बहर)

मसअ्ला.9:– हिबा में रुजूअ् करने से सात चीज़ें रोकती हैं उन सात को इन अल्फ़ाज़ में जमा किया गया है। दमअ् ख़ज़ क़ह, दाल से मुराद ज़्यादते मुत्तसिला है, मीम से मुराद मौत यानी वाहिब व मौहूब'लहू दोनों में से किसी का मर जाना। ऐन से मुराद एवज़, ख़ा से मुराद ख़ुरूज यानी हिबा का मिल्क मौहूब'लहू से जुदा होजाना। ज़ा से मुराद ज़ौजियत क़ाफ़ से मुराद क़राबत, हा से हलाक, इन सब के अहकाम की तफ़सील ज़ेल में दर्ज की जाती है।

(1) ज़्यादते मुत्तसिला

मसअ्ला.10:– जिस चीज़ को हिबा किया उसमें कुछ ज़्यादत हुई अगर यह मौहूब के साथ मुत्तसिल है वाहिब रुजूअ् नहीं कर सकता मस्लन एक नाबालिग़ गुलाम किसी को हिबा किया अब वह जवान होगया रुजूअ् नहीं कर सकता। ज़्यादते मुत्तसिला मुतवल्लिदा हो या ग़ैर मुतवल्लिदा मौहूब'लहू के फ़ेअ्ल से हुई हो या उसके फ़ेल से न हो सबका एक हुक्म है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– ज़मीन हिबा की मौहूब'लहु ने उसमें मकान बनाया या दरख़्त लगाये यह ज़्यादते मुत्तसिला है या पानी निकालने का चर्ख़ नसब किया, इस तरह कि तवाबेअ् ज़मीन में शुमार हो और बैअ् में बिग़ैर ज़िक्र किये तबअ़न दाख़िल होजाये यह भी ज़्यादते मुत्तसिला है अब वापस नहीं ले सकता। (बहर, दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– हम्माम हिबा किया था। मौहूब'लहू ने उसे रहने का मकान बनाया या मकान हिबा किया था उसे हम्माम बनाया अगर इमारत में तग़य्युर नहीं किया है रुजूअ् कर सकता है और अगर तग़य्युर किया है मस्लन दरवाज़ा लगाया, या गच (चूना या सीमेंट का काम) कराई। या कहगिल (भुस मिली हुई मिट्टी से काम) कराई तो रुजुअ् नहीं कर सकता और अगर इमारत मुन्हदिम करदी सिर्फ़ ज़मीन बाक़ी है तो रुजूअ् कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– मौहूब में कुछ नुक़सान पैदा होगया यह रुजूअ् को मना नहीं करता। ख़्वाह वह नुक़सान मौहूब'लहू के फ़ेअ्ल से हो या उसके फ़ेल से न हो मस्लन कपड़ा हिबा किया था उसको क़ता करा लिया। (बहर)

मसअ्ला.14:– ज़्यादते मुन्फ़सिला रुजूअ् से मानेअ् नहीं (रोकने वाला नहीं) मस्लन बकरी हिबा की थी उसके बच्चा पैदा हुआ यह ज़्यादते मुन्फ़सिला है। वाहिब अपनी हिबा की हुई चीज़ वापस ले सकता है और वह ज़्यादत मौहूब'लहू की होगी उसको वापस नहीं ले सकता मगर जानवर को उस वक़्त वापस ले सकता है जब बच्चा इस क़ाबिल होजाये कि उसे अपनी माँ की हाजत न रहे।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.15:– ज़्यादत से मुराद यह है मौहूब में कोई ऐसी बात पैदा होजाये जिससे क़ीमत में इज़ाफ़ा होजाये लिहाज़ा उस चीज़ का पहले से ज़्यादा फ़र्बा होजाना या ख़ूबसूरत होजाना भी ज़्यादत है। कपड़ा था सी दिया या रंग दिया, यह भी ज़्यादत है चीज़ को एक जगह से मुन्तक़िल करके दूसरी जगह लेगया जबकि इस इन्तिक़ाले मकानी से क़ीमत में इज़ाफ़ा होजाये यह भी ज़्यादत में दाख़िल है। गुलाम काफ़िर था मुसलमान होगया या उसने कोई जनायत की थी। वली जनायत ने मुआफ़ करदी। बहरा था सुनने लगा, अन्धा था देखने लगा यह सब ज़्यादते मुत्तसिला में दाख़िल हैं और क़ीमत की ज़्यादती नर्ख़ तेज़ हो जाने के सबब से है तो ज़्यादत में उसका शुमार नहीं तालीम व किताबत और कोई सन्अ़त सिखा देना ज़्यादत में दाख़िल है। कपड़ा हिबा किया था उसे मौहूब'लहु ने धुलवाया, जानवर या गुलाम जब हिबा किया था बीमार था मौहूब'लहू ने उसका इलाज कराया अब अच्छा होगया यह भी ज़्यादत में दाख़िल है अगर मौहूब'लहु के यहाँ बीमार हुआ और उसने इलाज कराया और अच्छा होगया यह रुजूअ् से मानेअ् (रोकने वाला) नहीं है।(बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– ज़मीन में मकान बनवाया या दरख़्त लगाये अगर यह ज़्यादती इस पूरी ज़मीन में

शुमार हो तो पूरी का रुजूअ् मुमतना हो जायेगा और अगर इसमें फ़क़त इस क़ता में ज़्यादत शुमार हो बाक़ी में नहीं तो इस क़ता की वापसी मुमतना होजायेगी बाक़ी की नहीं। अगर बहुत ज़्यादा ज़मीन है कि एक दो मकान बनने से पूरी ज़मीन में इज़ाफ़ा नहीं मुतसव्वर होता तो फक़त इस हिस्से की वापसी मुमतना हो जायेगी जिसमें मकान बना। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– ज़मीन में बे मौक़ा रोटी पकाने का तन्नूर गढ़वाया यह ज़्यादत में दाख़िल नहीं है बल्कि नुक़सान है, दरख़्त काट डालना या उसे चीर फाड़कर जलाने का ईंधन बना लिया, मानेअ् रुजूअ् नहीं और उसको काटकर चौखट, बाज़ू, किवाड कड़ियाँ वग़ैरा कोई चीज़ बनाई, तो रुजूअ् नहीं कर सकता। जानवर की क़ुर्बानी कर डालना, या और तरह भी ज़िबह करना, वापस करने को मना नहीं करता। (बहर)

मसअ्ला.18:– कपड़ा हिबा किया था मौहूब'लहु ने उसे दो टुकड़े कर डाला, एक टुकडे की अचकन सिलाई, वाहिब दूसरे टुकड़े को वापस ले सकता है। छल्ला हिबा किया था मौहूब'लहू ने उस पर रंग लगाया और रंग जुदा करने में नुक़सान होगा तो वापस नहीं ले सकता वरना ले सकता है।(बहर)

मसअ्ला.19:– काग़ज़ हिबा किया, उसपर लिखकर किताब बनाई, वापस नहीं ले सकता सादी ब्याज़ हिबा की थी मौहूब'लहू ने उसमें किताब लिखी, जिससे उसकी क़ीमत बढ़ गई वापस नहीं ले सकता और हिसाब वग़ैरा ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिसकी वजह से उसका रद्दी में शुमार है तो वापस ले सकता है। (बहर)

मसअ्ला.20:– क़ुर्आन मजीद हिबा किया था उसमें एअ्राब (ज़ेर, ज़बर) लगाये वापस नहीं ले सकता, लोहा हिबा किया था उसकी तलवार या छुरी वगैरा कोई चीज़ बनाली रुजूअ् नहीं कर सकता, सूत हिबा किया उसका कपड़ा बनवा लिया रुजूअ् नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.21:– वाहिब और मौहूब'लहू में इख़्तिलाफ़ हुआ कि मौहूब'लहू के पास ज़्यादत हुई है या नहीं अगर वह ज़्यादते मुतवल्लिदा है मस्लन छोटी चीज़ हिबा की थी अब वह बड़ी होगई वाहिब कहता है इतनी ही बड़ी मैंने हिबा की थी और मौहूब'लहू कहता है छोटी थी अब बड़ी होगई इसमें वाहिब का क़ौल मोअ्तबर है और अगर वह ज़्यादते ग़ैर मुतवल्लिदा है जैसे कपड़े का सिल जाना, उसको रंग देना इसमें मौहूब'लहू का क़ौल मोअ्तबर है। (बहर)

मसअ्ला.22:– मौहूब'लहू कहता है कि मकान में जदीद तामीर हुई है वाहिब इससे मुन्किर है अगर इतनी तामीर इतने दिनों में उमूमन न होती हो तो वाहिब का क़ौल मोअ्तबर, अगरचे ज़्यादते ग़ैर मुतवल्लिदा है वाहिब कहता है मैंने यह रंगा हुआ कपड़ा हिबा किया था या सत्तू में घी मिलाकर हिबा किया था मौहूब'लहू कहता है यह कपड़ा रंगा हुआ न था मैंने रंगा है, मैंने घी सत्तू में मिलाया है, चूँकि मौहूब'लहू मुन्किर है उसी का क़ौल मोअ्तबर है। (बहर)

(2)मौत अह्दुल मुतआक़िदैन

मसअ्ला.23:– हिबा करके क़ब्ज़ा देदिया इसके बाद वाहिब या मौहूब'लहू दोनों में से कोई मरजाये हिबा वापस नहीं होसकता है मौहूब'लहू मरगया तो उसकी मिल्क वुरसा की तरफ़ मुन्तक़िल होगई वाहिब मरगया, तो उसका वारिस इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता, अजनबी है लिहाज़ा वापस नहीं ले सकता। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.24:– अगर क़ब्ज़े से पहले मुतआक़िदैन में से किसी का इन्तिक़ाल होगया तो यह रुजूअ् को मना नहीं करता बल्कि वह हिबा ही बातिल होगया। वारिस कहता है मेरे मूरिस ने यह चीज़ तुम्हें हिबा की थी तुमने क़ब्ज़ा नहीं किया, यहाँ तक कि उसका इन्तिक़ाल होगया मौहूब'लहु कहता है मैंने उसके मरने से पहले ही क़ब्ज़ा कर लिया था अगर वह चीज़ वारिस के क़ब्ज़े में हो तो उसी का क़ौल मोअ्तबर है। (दुर्रेमुख़्तार)

(3) वाहिब का एवज़ लेना मानेअ् रुजूअ् है।

मसअ्ला.25:– मौहूब'लहू ने एवज़ दिया तो वाहिब को मालूम होना चाहिए कि यह हिबा का एवज़ है। मौहूब'लहू ने कहा अपने हिबा का एवज़ लो या उसका बदला लो इसके मुक़ाबले में यह चीज़ लो वाहिब

ने ले लिया रुजूअ् करने का हक़ साक़ित होगया और अगर एवज़ होना लफ़्ज़ों से ज़ाहिर नहीं किया तो हर एक अपने हिबा को वापस ले सकता है यानी वाहिब, हिबा को और मौहूब'लहू एवज़ को। (बहर, हिदाया)

मसअ्ला.26:– हिबा का एवज़ भी हिबा है इसमें वह तमाम बातें लिहाज़ रखी जायेंगी जो हिबा के लिए ज़रूरी हैं जिनका ज़िक्र हो चुका है मस्लन उनका जुदा कर देना मुशाअ् न होना, इस पर क़ब्ज़ा दिला देना। (बहर, दुर्रेमुख़्तार) सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है कि हिबा में हक़्क़े रुजूअ् होता है जब तक मवानेअ् न पाये जायें और उसमें यह हक़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.27:– हिबा का एवज़ इतना ही होना ज़रूरी नहीं, उससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। उस जिन्स का भी हो सकता है और दूसरी जिन्स का भी हो सकता है मस्लन अकस्र ऐसा होता है कि थोड़े से फल वग़ैरा की डाली लगाते हैं और जितने की चीज़ होती है उससे बहुत ज़्यादा पाते हैं। (बहर)

मसअ्ला.28:– बच्चे को कोई चीज़ हिबा की गई उसके बाप को इख़्तियार नहीं कि उसके माल से उस हिबा का मुआवज़ा दे अगर एवज़ देदिया। जब भी वाहिब हिबा को वापस ले सकता है कि वह एवज़ देना सही न हुआ। (बहर)

मसअ्ला.29:– नसरानी या किसी काफ़िर ने मुसलमान को कोई चीज़ हिबा की, मुसलमान उसके एवज़ में उसे सूअर या शराब दे यह एवज़ देना सही नहीं क्योंकि मुसलमान अपनी तरफ़ से किसी को भी इन चीज़ों का मालिक नहीं कर साकता है। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.30:– एवज़ देने का यह मतलब है कि मौहूब'लहू के सिवा दूसरी चीज़ वाहिब को दे अगर मौहूब का एक हिस्सा बाक़ी के एवज़ में देदिया यह सही नहीं। वाहिब रुजूअ् कर सकता है दो चीज़ें हिबा की हैं अगर दो अक़्द के ज़रिये हिबा हुई हैं तो एक दूसरे के एवज़ में दे सकता है और अगर एक ही अक़्द में दोनों चीज़ें वाहिब ने दी थीं तो एक दूसरे का एवज़ नहीं कह सकते। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.31:– गेहूँ हिबा किये थे मौहूब'लहू ने उन्हीं में से थोड़ा आटा पिसवाकर बाक़ी के एवज़ में वाहिब को देदिया यह एवज़ देना सही है यानी अब वाहिब बक़िया गेहूँ को वापस नहीं ले सकता कि एवज़ ले चुका है। यूँही कपड़ा हिबा किया था उसमें एक हिस्सा रंग कर या सी कर बाक़ी के एवज़ में दिया या सत्तू हिबा किया था थोड़ासा उसमें से घी मिलाकर वाहिब को देदिया यह तफ़वीज़ सही है। एक शख़्स ने दो कनीज़ें हिबा की थीं मौहूब'लहू के पास उनमें से एक के बच्चा पैदा हुआ यह बच्चा एवज़ में देदिया यह सही है और वापस लेना मुमतना होगया। जानवर के हिबा का भी यही हुक्म है। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.32:– अजनबी शख़्स ने मौहूब'लहु की तरफ़ से बतौर तबर्रोअ् व एहसान (नेकी व भलाई) वाहिब को एवज़ देदिया यह भी सही है। अगर वाहिब ने क़बूल करलिया रुजूअ् मुमतना होगया। अजनबी का एवज़ देना मौहूब'लहू के हुक्म से हो या बिग़ैर हुक्म दोनों का एक हुक्म है। (हिदाया, बहर)

मसअ्ला.33:– मौहूब'लहू की तरफ़ से दूसरे ने एवज़ देदिया यह मौहूब'लहू से रुजूअ् नहीं कर सकता अगरचे यह मौहूब'लहु का शरीक ही हो अगरचे उसने उसके हुक्म से एवज़ दिया हो। क्योंकि मौहूब'लहू के ज़िम्मे एवज़ देना वाजिब न था लिहाज़ा उसका हुक्म करना ऐसा ही है जिस तरह तबर्रोअ् करने का हुक्म होता कि इसमें रुजूअ् नहीं कर सकता हाँ अगर उसने यह कह दिया है कि तुम एवज़ देदो मैं उसका ज़ामिन हूँ तो इस सूरत में वह अजनबी मौहूब'लहू से लेसकता है(बहर)

मसअ्ला.34:– हिबा का एवज़ देदिया अब हो सकता है कि मौहूब में ऐब है तो उसे यह इख़्तियार नहीं कि मौहूब को वापस देकर एवज़ वापस ले यूँही वाहिब ने एवज़ पर क़ब्ज़ा करलिया तो उसे भी इख़्तियार नहीं कि एवज़ वापस देकर मौहूब को वापस ले। (आलमगीरी)

मसअ्ला.35:– मरीज़ ने हिबा किया मौहूब'लहू ने हिबा का एवज़ देदिया और मरीज़ ने उसपर क़ब्ज़ा कर लिया फिर मरगया और उस मरीज़ के पास उसके सिवा कोई माल न था जिसे हिबा करदिया तो अगर एवज़ इस माल की दो तिहाई क़ीमत की बराबर हो या ज़्यादा हो हिबा नाफ़िज़ है। और अगर निस्फ़ क़ीमत की बराबर हो तो एक सुदुस (छटा हिस्सा) उसके वुरसा मौहूब'लहू से

वापस ले सकते हैं। (आलमगीरी)
मसअ्ला.36:— एवज़ देने के बाद हिबा में किसी ने अपना हक़ साबित करदिया और निस्फ़ (आधा) मौहूब को लेलिया तो मौहूब'लहू वाहिब से निस्फ़ एवज़ वापस लेसकता है और अगर इसका अक्स हो यानी निस्फ़ एवज़ में मुस्तहिक़ ने अपना हक़ साबित करके लेलिया तो वाहिब को यह हक़ नहीं, कि निस्फ़ हिबा को वापस लेले हाँ अगर उस माबक़ी को यानी जो कुछ एवज़ उसके पास रहगया है उसको वापस करके हिबा का कुल या जुज़ लेना चाहता है तो ले सकता है।
फ़ायदा :— इस मक़ाम पर एवज़ से मुराद वह है कि हिबा में मशरूत न हो अगर हिबा में एवज़ मशरूत हो तो वह मुबादला के हुक्म में है इसके अज्ज़ा पर इसकी तक़सीम होगी। यानी निस्फ़ एवज़ के इस्तेहक़ाक़ पर निस्फ़ हिबा को वारपस ले सकता है। (बहर, दुर्रेमुख़्तार, हिदाया)
मसअ्ला.37:— मौहूब'लहू ने निस्फ़ हिबा का एवज़ दिया है यानी कह दिया कि यह निस्फ़ के एवज़ में है तो जिसका एवज़ नहीं दिया है वाहिब उसे वापस ले सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.38:— पूरे एवज़ को किसी ने अपना साबित किया अगर मौहूब शय मौजूद है तो पूरी वापस लेसकता है और हलाक होगई है तो कुछ नहीं और अगर एवज़ देने के बाद किसी ने पूरे हिबा को अपना साबित करके लेलिया तो मौहूब'लहू एवज़ वापस ले सकता है। अगर मौजूद हो और हलाक होगया है तो दो सूरतें हैं मिस्ली है तो उसकी मिस्ल ले और क़ीमती है तो क़ीमत। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.39:— हिबा का एवज़ दिया था मगर उसका कोई हक़दार निकल आया जिसने उसको ले लिया, इधर मौहूब चीज़ में ज़्यादत होगई तो वाहिब वापस नहीं लेसकता। (दुर्रेमुख़्तार) **(4)**हिबा का मालिक मौहूब'लहू से ख़ारिज होजाना, मानेअ् रुजूअ् है। उस मिल्क की मिल्क से निकल जाने की बहुत सी सूरतें हैं। बैअ् करदे, सदक़ा करदे, हिबा करदे जो कुछ करदे वाहिब वापस नहीं लेसकता।
मसअ्ला.40:— मौहूब'लहु ने मौहूब शय को हिबा कर दिया था और वाहिब का रुजूअ् मुमतना हो गया था मगर मौहूब'लहू ने जिसको दिया था उससे वापस लिया तो वाहिब अव्वल उससे ले सकता है कि मानेअ् ज़ाइल होगया मौहूब'लहू सानी से वापसी जो हुई वह क़ाज़ी के हुक्म से हुई या खुद उसकी रज़ा'मन्दी से कि उसके रुजूअ् करने के मअ्ना हिबा फ़स्ख़ करना है लिहाज़ा मानेअ् ज़ाइल (रुकावट ख़त्म) होगया और अगर उस चीज़ का उसकी मिल्क में आना नये सबब से हो मसलन उसने मौहूब'लहु सानी से ख़रीदली या उसने उसपर सदक़ा करदिया इस सूरत में वाहिबे अव्वल उससे वापस नहीं ले सकता। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.41:— मौहूब शय मौहूब'लहू की मिल्क से ख़ारिज होने के बाद अगर फिर उसकी मिल्क में आजाये तो यह देखा जायेगा कि यह मिल्क में आना किस सबब से है अगर फ़स्ख़ की वजह से है तो वाहिब को वापस लेने का हक़ लौट आयेगा मसलन बैअ् करदी थी फिर वह बैअ् क़ाज़ी ने फ़स्ख़ कर दी और अगर मिल्क में वापस आना सबबे जदीद से है तो वाहिब को वापसी का हक़ वापस नहीं आयेगा। (बहर)
मसअ्ला.42:— मिल्क से निकलने के यह माने हैं कि पूरी तरह उसकी मिल्क से ख़ारिज होजाये। लिहाज़ा अगर यह सूरत न हो बल्कि कुछ लगाव बाक़ी हो मसलन मौहूब'लहू ने हिबा का जानवर क़ुर्बानी कर दिया या बकरी के गोश्त को सदक़ा करने की नियत मानी, और ज़िबह होचुकी है। गोश्त तैयार है वाहिब वापस लेसकता है। तमत्तोअ् या क़िरान या नज़र का जानवर हिबा किया हुआ है वाहिब वापस लेसकता है अगरचे ज़िबह करदिया हो और गोश्त होगया हो। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.43:— मौहूब'लहू ने आधी चीज़ बैअ् करदी है आधी उसके पास बाक़ी है इसमें रुजूअ् कर सकता है। (बहर)

(5) ज़ौजियत मानेअ् रुजूअ् है।

मसअ्ला.44:— ज़ौजियत से मुराद वह है जो वक़्ते हिबा मौजूद हो और बाद में पाई गई तो मानेअ् (रोकने वाला) नहीं। मसलन एक औरत अजनबिया को हिबा किया था हिबा के बाद उससे निकाह किया वापस लेसकता है और अगर अपनी औरत को हिबा किया था उसके बाद फुरक़त (जुदाई) हो गई तो वापस नहीं ले सकता। ग़र्ज़ यह कि वापस लेने और न लेने दोनों में वक़्ते हिबा ही का लिहाज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.45:– मर्द ने औरत के यहाँ चीज़ें भेजी थीं और औरत ने मर्द के यहाँ जिस तरह यहाँ भी रिवाज है कि तरफ़ैन से चीज़ें आती जाती रहती हैं फिर ज़ुफ़ाफ़ के बाद दोनों में फ़ुरक़त होगई। शौहर ने दावा किया कि जो कुछ मैंने सामान भेजा है बतौर आ़रियत था लिहाज़ा वापस मिलना चाहिए और औरत भी यही कहती है मेरी चीज़ें मुझे वापस मिल जायें हर एक दूसरे से वापस लेले। क्योंकि औरत का यह गुमान है कि जो कुछ उसने दिया था हिबा के एवज़ में दिया था और हिबा साबित नहीं लिहाज़ा एवज़ भी वापस। (बहर)

(6) क़ुराबत मानेअ् रुजूअ् है।

क़राबत से मुराद इस मक़ाम पर ज़ीरहम मोहरिम है यानी यह दोनों बातें हों और हुरमत भी नसब की वजह से हो तो वापस नहीं लेसकता अगरचे वह ज़ीरहम, मोहरिम, ज़िम्मी या मुस्तामिन हो कि उससे भी वापस नहीं ले सकता मसलन बाप, दादा, माँ, दादी, उसूल और बेटा, बेटी, पोता, पोती, नवासा, नवासी, फ़ुरूअ् और भाई बहिन और चचा, फूपी, कि यह सब ज़ीरहम मोहरिम हैं अगर मौहूब'लहु मोहरिम है यानी निकाह हराम है मगर ज़ीरहम न हो जैसे रज़ाई भाई, या मुसाहरत की वजह से हुरमत हो जैसे सास और बीवी की दूसरे ख़ाविन्द से औलादें और दामाद और बेटे की बीवी या मौहूब लहु ज़ीरहम हैं मगर मोहरिम नहीं जैसे चचाज़ाद भाई अगरचे यह रज़ाई भाई हो कि यहाँ नसब की वजह से हुरमत नहीं इन सब को चीज़ हिबा करके वापस ले सकता है।(बहर, आलमगीरी)

मसअ्ला.46:– एक शय ग़ैर मुनक़सिम अपने भाई और अजनबी दोनों को हिबा की और दोनों ने क़ब्ज़ा करलिया अजनबी का हिस्सा वापस लेसकता है कि इसमें रुजूअ् से मानेअ् नहीं है और भाई का हिस्सा वापस नहीं ले सकता कि यहाँ मानेअ् पाया जाता है। (दुरर)

(7)ऐन मौहूब का हलाक हो जाना मानेअ् रुजूअ् है। कि जब वह चीज़ ही नहीं है रुजूअ् क्या करेगा।

मसअ्ला.47:– मौहूब'लहु कहता है कि चीज़ हलाक होगई और वाहिब कहता है कि नहीं हलाक हुई। मौहूब'लहु की बात बिग़ैर हल्फ़ मानली जायेगी कि वही मुन्किर है क्योंकि मौहूब'लहु का वह मुन्किर है। और अगर वाहिब कहता है कि जो चीज़ मैंने हिबा की थी वह यह है और मौहूब'लहु मुन्किर है तो मौहूब'लहू की बात हल्फ़ के साथ मोअ्तबर होगी और अगर मौहूब'लहु कहता है मैं वाहिब का भाई हूँ और वाहिब मुन्किर है तो वाहिब का क़ौल क़सम के साथ मोअ्तबर है। (बहर)

मसअ्ला.48:– मौहूब चीज़ में तग़य्युर पैदा होगया यानी अब दूसरी चीज़ होगई यह भी मानेअ् रुजूअ् है मस्लन गेहूँ का आटा पिसवा लिया या आटा था उसकी रोटी पकाली, दूध था उसको पनीर बनालिया या घी कर लिया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.49:– कड़ियाँ हिबा की थीं उसने चीर फ़ाड़कर ईंधन बनालिया या कच्ची ईंटें हिबा की थीं तोड़कर मिट्टी बनाली, रुजूअ् कर सकता है और इस मिट्टी की फिर ईंटें बनालीं, तो रुजूअ् नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.50:– रुपया हिबा किया था फिर मौहूब'लहु से वही रुपया क़र्ज़ लेलिया अब उसको किसी तरह रुजूअ् नहीं कर सकता और अगर मौहूब लहु ने उस रुपये को सदक़ा करदिया मगर अभी फ़क़ीर ने क़ब्ज़ा नहीं किया है तो वाहिब वापस लेसकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.51:– हिबा में रुजूअ् करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों की रज़ा'मन्दी से चीज़ वापस हो या हाकिम ने वापसी का हुक्म देदिया हो लिहाज़ा क़ाज़ी के हुक्म करने के बाद अगर वाहिब ने चीज़ को तलब किया और मौहूब'लहु ने इन्कार कर दिया और उसके बाद वह शय ज़ाइअ् होगई तो मौहूब'लहू को तावान देना होगा कि अब उसे रोकने का हक़ न था और अगर क़ाज़ी के हुक्म से क़ब्ल यह बात हुई तो उस पर तावान वाजिब नहीं कि उसे रोकने का हक़ था यूँही अगर मौहूब'लहु ने क़ाज़ी के हुक्म के बाद उसे रोका नहीं बल्कि अभी तक वाहिब ने मांगा नहीं और मौहूब'लहु के पास हलाक होगई तो तावान वाजिब नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, बहर)

मसअ्ला.52:– क़ज़ा–ए–क़ाज़ी या त़रफ़ैन की रज़ा'मन्दी से जब उसने रुजूअ् कर लिया, तो अ़क्दे हिबा बिल्कुल फ़स्ख़ होगया और वाहिब की पहली मिल्क औद कर आई यह नहीं कहा जायेगा कि जदीद मिल्क ह़ासिल हुई लिहाज़ा मालिक होने के लिए वाहिब के क़ब्ज़े की ज़रूरत नहीं और मुशाअ् में भी रुजूअ् स़ही है मस्लन मौहूब'लहू ने निस्फ़ को बैअ् करदिया, निस्फ़ बाक़ी है इस निस्फ़ को वाहिब ने वापस लिया अगरचे यह शाइअ् है मगर रुजूअ् स़ही है। (बह्र)

मसअ्ला.53:– मौहूब'लहू जब तन्दुरुस्त था उस वक़्त उसे किसी ने कोई चीज़ हिबा की और जब वह बीमार हुआ वाहिब ने चीज़ वापस करली अगर यह वापसी क़ाज़ी के हुक्म से है तो स़ही है। वुरसा या क़र्ज़ ख़्वाह को मौहूब'लहू के मरने के बा'द उस चीज़ का मुत़ालबा करने का ह़क़ नहीं। और अगर बिग़ैर हुक्मे क़ाज़ी, मह़ज़ वाहिब के मांगने पर मौहूब लहू ने चीज़ देदी तो इस वापसी को हिबा जदीद क़रार दिया जायेगा कि एक सुलुस में वापसी स़ही होगी, वह भी जबकि इस पर दैन मुस्तग़रक़ (इतना क़र्ज़ होना कि अदा करने के बाद कुछ न बचे) न हो और अगर इस पर दैन मुस्तग़रक़ हो तो वाहिब से चीज़ वापस लेकर क़र्ज़ वालों को दी जाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.54:– एक चीज़ ख़रीदकर हिबा करदी फिर मौहूब'लहू ने वापस लेली अब उसमें ऐब का पता चला, तो बाइअ् मुतलक़न वापस दे सकता है ख़्वाह क़ाज़ी के हुक्म से वापस लिया हो या मौहूब'लहू की रज़ा'मन्दी से, ब'ख़िलाफ़ बैअ् या'नी अगर मुश्तरी ने चीज़ बैअ् करदी और मुश्तरी दोम ने ब'वजहे ऐब वापस करदी, और उसने रज़ा'मन्दी से वापस लेली तो अपने बाइअ् पर वापस नहीं कर सकता कि यह ह़क़ सुलुस में फ़स्ख़ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, बह्र)

मसअ्ला.55:– रुजूअ् करने से हिबा बिल्कुल अस्ल ही से फ़स्ख़ होजाता है इसका मत़लब यह है कि इस हिबा का ज़माना–ए–मुस्तक़बिल में कुछ अस्र न रहेगा। यह मत़लब नहीं कि ज़माना–ए– गुज़िश्ता में भी इसका कोई असर नहीं रहा, ऐसा होता तो शय मौहूब से जो ज़्यादत बा'द हिबा के पैदा होगई है वह भी मिल्क वाहिब की त़रफ़ मुन्तक़िल होजाती है ह़ालांकि ऐसा नहीं मस्लन बकरी हिबा की थी और उसके बच्चा पैदा हुआ उसके बा'द वाहिब ने बकरी वापस करली मगर यह बच्चा मौहूब'लहु ही का है, वाहिब का नहीं मस्लन बैअ् में ऐब ज़ाहिर हुआ और क़ाज़ी के हुक्म से मुश्तरी ने बाइअ् को वापस करदी यह अस्ल से फ़स्ख़ है और ज़माना–ए–गुज़िश्ता में इसका ऐतबार किया जाये तो लाज़िम आये कि मुश्तरी ने मबीअ् से जो नफ़ा ह़ासिल किया है ह़राम हो, ह़ालांकि ऐसा नहीं। (बह्र)

मसअ्ला.56:– हिबा करने के बा'द वाहिब ने उस चीज़ को हलाक कर दिया तावान देगा और अगर ग़ुलाम था उसे वाहिब ने आज़ाद कर दिया आज़ाद न होगा क्योंकि जब तक वापस न करेगा उसकी मिल्क नहीं है। (बह्र)

मसअ्ला.57:– जो चीज़ हिबा की थी वह हलाक होगई उसके बा'द मुस्तह़िक़ ने दावा क़िया कि चीज़ मेरी थी और मौहूब'लहू से उसका तावान वुसूल कर लिया मौहूब'लहू से तावान में से कुछ वुसूल नहीं कर सकता यही हुक्म आ़रियत का है कि मुस्तईर के पास हलाक होजाये और मुस्तह़िक़ उससे ज़मान वुसूल करे तो यह मुईर से कुछ नहीं ले सकता और अगर अ़क्दे मुआवज़ा के ज़रिये से चीज़ उसके पास आती और हलाक होजाती और मुस्तह़िक़ ज़मान लेता तो यह देने वाले से वुसूल कर सकता मस्लन मुश्तरी के पास बैअ् हलाक होगई और मुस्तह़िक़ ने उससे ज़मान लिया, यह बाइअ् से वुसूल कर सकता है इसी त़रह़ अगर उसके पास चीज़ का होना, देने वाले की नफ़ा की ख़ातिर हो तो यह देने वाले से ज़मान वुसूल कर सकता है मस्लन मूदा या मुस्ताजिर के पास चीज़ थी और हलाक होगई और मुस्तह़िक़ ने तावान लिया तो यह मालिक से वुसूल कर सकते हैं। (बह्र)

मसअ्ला.58:– जिन सात मवाज़ेअ् में रुजूअ् नहीं हो सकता जिनका बयान अभी गुज़रा, अगर वाहिब व मौहूब'लहू रुजूअ् पर इत्तिफ़ाक़ करलें तो यह इनका इत्तिफ़ाक़ जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार, बह्र)

मसअ्ला.59:– हिबा ब'शर्तुल एवज़, कि मैं यह चीज़ तुमको हिबा करता हूँ इस शर्त पर कि फ़ुलाँ

चीज़ तुम मुझको दो यह इब्तिदा के लिहाज़ से हिबा है लिहाज़ा दोनों एवज़ पर क़ब्ज़ा ज़रूरी है अगर दोनों ने या एक ने क़ब्ज़ा नहीं किया तो हर एक रुजूअ़ कर सकता है और दोनों में से किसी में शुयूअ़ हो तो बातिल होगा मगर इन्तिहा के लिहाज़ से यह बैअ़ है लिहाज़ा इसमें बैअ़ के अह़काम भी साबित होंगे कि अगर उसमें ऐब है तो वापस कर सकता है ख़्यारे रोयत भी हासिल होगा इसमें शुफ़ा भी जारी होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.60:– अगर हिबा के यह अल्फ़ाज़ हों कि मैंने यह चीज़ फुलाँ चीज़ के मुक़ाबिल में तुमको हिबा की, यानी एवज़ का लफ़्ज़ नहीं कहा तो यह इब्तिदा व इन्तिहा के लिहाज़ से बैअ़ ही है हिबा नहीं है और अगर एवज़ को मोअय्यन न किया हो बल्कि मजहूल रखा मस्लन यह चीज़ तुमको हिबा करता हूँ बशर्ते कि तुम इसके बदले में मुझे कोई चीज़ दो, तो यह इब्तिदा व इन्तिहा के लिहाज़ से हिबा ही है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.61:– मौहूब'लहू ने मौहूब पर क़ब्ज़ा कर लिया उसके बाद वाहिब ने बिला इजाज़ते मौहूब'लहू लेकर हलाक कर डाला, तो बक़द्र क़ीमत तावान दे और अगर बकरी हिबा की थी वाहिब ने बिग़ैर इजाज़त मौहूब'लहू उसे ज़िबह कर डाला तो ज़िबह की हुई बकरी मौहूब'लहू ले लेगा और तावान नहीं और कपड़ा हिबा किया था वाहिब उसे क़ता कर डाला, तो यह कपड़ा देना होगा और क़ता करने से जो कमी हुई वह दे। (आलमगीरी)

मसाइले मुतफर्रिक़ा

मसअ्ला.1:– कनीज़ को हिबा किया और उसके ह़मल का इस्तिस्ना किया या यह शर्त की कि तुम इसे वापस कर देना, आज़ाद कर देना, या हदिया कर देना, या उम्मे वलद बनाना, या मकान का हिबा किया और यह शर्त की कि इसमें से कुछ जुज़ मुअय्यन, मस्लन यह कमरा या ग़ैर मुअय्यन, मस्लन इसकी तिहाई, चौथाई, वापस कर देना या हिबा में यह शर्त की कि इसके एवज़ में कोई शय (ग़ैर मुअय्यन) मुझे देना, इन सब सूरतों में हिबा सही है और इस्तिस्ना या शर्त बातिल है।(हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– कनीज़ के शिकम में जो बच्चा है उसे आज़ाद करके कनीज़ को हिबा किया सही है। और अगर ह़मल को मुदब्बिर करके जारिया को हिबा किया सही नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– बच्चों के मुअल्लेमीन को ईदी दी जाती है अगर मुअल्लिम ने सवाल व इलहाह् (गिड़गिड़ाकर मांगना) न किया हो, जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– उमरा जाइज़ है उमरा के माने यह हैं कि मस्लन मकान उम्र भर के लिये किसी को दे दिया कि जब वह मरजाये वापस लेलेगा यह वापसी की शर्त बातिल है अब वह मकान उसी का होगा जिसको दिया जब तक वह ज़िन्दा है उसका है और मरजायेगा तो उसी के वुरसा लेंगे। जिसको दिया गया है न देने वाला ले सकता है न उसके वुरसा, रक़्बा जाइज़ नहीं इसकी सूरत यह है कि मस्लन किसी को इस शर्त पर मकान दिया कि अगर मैं तुझ से पहले मरगया, तो मकान तेरा है मरने के बाद मालिक के वुरसा का होगा जिसको दिया है उसका नहीं होगा। (हिदाया, वग़ैरहा)

मसअ्ला.5:– दैन की मुआफ़ी को शर्ते महज़ पर मुअल्लक़ करना मस्लन मदयून से यह कहा जब कल आयेगा तो दैन से बरी है या वह दैन तेरे लिये है या अगर तूने निस्फ़ दैन अदा करदिया तो बाक़ी निस्फ़ तेरा है या वह मुआफ़ है या अगर तू मरजाये तेरा दैन मुआफ़ है या अगर तू इस मर्ज़ से मरजाये तो दैन मुआफ़ है या मैं इस मर्ज़ से मरजाऊँ तो दैन महर से तू मुआफ़ी में है यह सब सूरतें बातिल हैं। दैन मुआफ़ नहीं होगा और अगर वह शर्त ऐसी है कि होचुकी है तो अबरा सही है मस्लन अगर तेरे ज़िम्मे मेरा दैन है तो मैंने मुआफ़ किया, मुआफ़ होगया यूँही अगर यह कहा कि अगर मैं मरजाऊँ तो दैन से बरी है यह जाइज़ है और वसियत है। (बह्र)

मसअ्ला.6:– मदयून को दैन हिबा कर देना एक वजह से तम्लीक है और एक वजह से इस्क़ात, लिहाज़ा रद् करने से रद् होजायेगा और चूँकि इस्क़ात भी है लिहाज़ा क़बूल पर मौक़ूफ़ न होगा।

कफ़ील को दैन हिबा कर देना यह बिल्कुल तम्लीक है यहाँ तक वह मकफूल अन्हु से दैन वुसूल कर सकता है और बिग़ैर क़बूल के तमाम नहीं होगा और कफ़ील से दैन मुआफ़ कर देना बिल्कुल इस्क़ात है कि रद् करने से रद् नहीं होगा। (बहर)

मसअ्ला.7:– अबरा यानी मुआफ़ करने में क़बूल की ज़रूरत नहीं होती मगर बदले सर्फ़ व बदले सलम से बरी कर दिया या हिबा कर दिया इसमें क़बूल की ज़रूरत है। (बहर)

मसअ्ला.8:– एक शख़्स पर दैन था वह बिग़ैर अदा किये मरगया। दाइन ने वारिस को वह दैन अदा कर दिया यह हिबा सही है यह दैन पूरे तर्के को मुस्तग़रक़ हो या न हो दोनों का एक हुक्म है और अगर वारिस ने हिबा को रद् कर दिया तो रद् होगया और बाज़ वुरसा को हिबा किया, जब भी कुल वुरसा के लिये हिबा है। यूँही वारिस से अबरा किया यानी मुआफ़ कर दिया, यह भी सही है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– दाइन के एक वारिस ने मदयून को तक़सीम से क़ब्ल अपने हिस्से का दैन हिबा कर दिया यह सही है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– दाइन ने मदयून को दैन हिबा करदिया और उस वक़्त उसने क़बूल न किया न रद् किया दो तीन दिन के बाद आकर उसे रद् करता है सही यह है कि अब रद् नहीं कर सकता(आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– किसी से यह कहा, कि जो कुछ मेरी चीज़ खालो तुम्हारे लिये मुआफ़ी है यह खा सकता है जबकि क़रीने से यह न मालूम होता हो कि उसने निफ़ाक़ से कहा है यानी महज़ ज़ाहिरी तौर पर कह दिया है दिल से नहीं चाहता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– दाइन को ख़बर मिली कि मदयून मरगया, उसने कहा, मैंने अपना दैन मुआफ़ कर दिया या हिबा कर दिया बाद में फिर पता चला कि वह ज़िन्दा है उससे दैन का मुतालबा नहीं कर सकता कि मुआफ़ी बिला शर्त थी। (ख़ानिया)

मसअ्ला.13:– किसी से यह कहा कि जो कुछ तुम्हारे हुक़ूक़ मेरे ज़िम्मे हैं मुआफ़ करदो उसने मुआफ़ करदिया। साहिबे हक़ को अपने जितने हुक़ूक़ का इल्म है वह तो मुआफ़ हो ही गये और जिनका इल्म नहीं क़ज़ाअन वह भी मुआफ़ हो गये और फ़तवा इस पर है कि दयानतन भी मुआफ़ होगये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– किसी ने यह कहा कि जो कुछ मेरे माल में से खालो या ले लो या देदो तुम्हारे लिये हलाल है उसको खाना हलाल है मगर लेना या किसी को देना, हलाल नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– यह कहा मैंने तुम्हें उस वक़्त मुआफ़ कर दिया या दुनिया में मुआफ़ कर दिया तो हर वक़्त के लिये मुआफ़ी होगई दुनिया व आख़िरत दोनों में मुआफ़ी होगई कहीं भी उसका मुतालबा नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– किसी की चीज़ ग़सब करली है मालिक से मुआफ़ी कराली तो ज़मान से बरी हो गया मगर चीज़ अब भी मालिक ही की है। ग़ासिब को उसमें तसर्रुफ़ करना जाइज़ नहीं यानी जो चीज़ हिबा में वाजिब है उसकी मुआफ़ी होती है ऐन की मुआफ़ी नहीं होती। (आलमगीरी)

मसअ्ला.17:– मदयून से दैन वुसूल होने की उम्मीद न हो तो उस दावा करने से यह बेहतर है कि वह मुआफ़ करदे कि वह अज़ाब से बच जायेगा और उसको सवाब मिलेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– जानवर बीमार था उसने छोड़ दिया किसी ने उसे पकड़ा और इलाज किया वह अच्छा होगया अगर मालिक ने छोड़ते वक़्त यह कह दिया था कि फुलाँ क़ौम में से जो इसे लेले उसी का है तो अगर वह पकड़ने वाला उसी क़ौम से है तो उसका होगया और अगर कुछ न कहा या यह कहा कि जो लेले उसका है और क़ौम या जमाअत को मुअय्यन नहीं किया है तो वह जानवर मालिक ही का है उस शख़्स से ले सकता है। परिन्द छोड़ दिया उसका भी यही हुक्म है और जंगली परिन्द को पकड़ने के बाद छोड़ना न चाहिए जब तक यह न कहे कि जो पकड़े उसका है। (आलमगीरी) क्योंकि पकड़ने से उसकी मिल्क होगया और जब छोड़ दिया तो शिकार करने वालों को किसी की मिल्क होना मालूम न होगा। लिहाज़ा इजाज़त की ज़रूरत है ताकि शिकार करने वालों को उसका लेना नाजाइज़ न हो मगर ज़ाहिर

यह है कि इसमें कौम या जमाअत की तख़्सीस की जाये।

मसअ्ला.19:– दैन का उसे मालिक कर देना जिसपर दैन नहीं है यानी मदयून के सिवा किसी दूसरे को मालिक कर देना बातिल है मगर तीन सूरतों में अव्वल हवाला कि अपने दाइन को अपने मदयून पर हवाला करदे दूसरी वसियत कि किसी को वसियत करदी कि फुलाँ के ज़िम्मे मेरा दैन है। मेरे मरने के बाद वह दैन फ़लाँ के लिए है तीसरी सूरत यह है कि जिसको मालिक बनाये उसे क़ब्ज़े पर मुसल्लत करदे यूँही औरत का शौहर के ज़िम्मे दैन था उसे अपने बेटे को जो उसी शौहर से है हिबा कर दिया, यह भी सही है जबकि उसे क़ब्ज़े पर मुसल्लत कर दिया हो। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.20:– दाइन ने यह इक़रार किया कि दैन फुलाँ का है मेरा नहीं है मेरा नाम फ़र्ज़ी तौर पर कागज़ में लिख दिया गया है। इसका इक़रार सही है। लिहाज़ा मुक़र'लहु (जिसके लिये इक़रार किया) उस दैन पर क़ब्ज़ा कर सकता है यूंही अगर यूं कहा कि फुलां पर जो मेरा दैन है वह फुलां का है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.21:– दो शख़्सों ने इस बात पर सुलह करली कि रजिस्टर में एक का नाम लिखा जाये तो जिसका नाम लिखा गया है अ़ता उसी के लिये है। (दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला.22:– वाहिब व मौहूब'लहू में इख़्तिलाफ़ हुआ। वाहिब कहता है हिबा था। दूसरा कहता है सदक़ा था। वाहिब का क़ौल मोअ्तबर है। (खानिया)

मसअ्ला.23:– मर्द ने औरत से कुछ मांगा, इस लिए कि ख़र्च की तंगी है। अगर कुछ देदेगी। वुसअ़त होजायेगी। औरत ने शौहर को दिया मगर क़र्ज़ ख़्वाहों को पता चल गया कि उसके पास माल है। उन्होंने ले लिया अगर औरत ने हिबा किया था या क़र्ज़ दिया था तो लेने वाले से वापस नहीं ले सकती, क्योंकि इन दोनों सूरतों में शौहर की मिल्क होगया और क़र्ज़ ख़्वाह उसे लेसकते हैं और अगर औरत ने शौहर को इस तरह दिया था कि मिल्क औरत ही की रहेगी और शौहर उसमें तसर्रुफ़ करेगा तो माल औरत का है। क़र्ज़ ख़्वाहों से वापस लेसकती है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.24:– किसी के पास बर्तन में खाना भेजा। यह शख़्स उस बर्तन में खा सकता है या नहीं अगर वह खाना ऐसा है कि दूसरे बर्तन में लौटने से लज़्ज़त जाती रहेगी जैसे सरीद तो उस बर्तन में खा सकता है। इसी तरह हमारे यहाँ शीर बिरिन्ज है कि दूसरे बर्तन में लौटने से उसका ज़ायक़ा ख़राब होजाता है। और अगर दूसरे बर्तन में करने से खाना बदमज़ा न हो तो अगर दोनों में इन्बिसात (मेल) हो तो उसमें खा सकता है वरना नहीं। (दुर्रेमुख़्तार) और अगर उर्फ़ यह हो कि वह ज़र्फ़ भी वापस न लिया जाता है तो ज़र्फ़ भी हदिया है। मस्लन मेवे या मिठाईयां टोकरियों में भेजे जाते हैं। यह टोकरियां वापस नहीं ली जातीं यह भी हदिया हैं और जिन ज़ुरूफ़ का वापस देने का रिवाज हो अगर उनको वापस नहीं किया है तो उसके पास अमानत के तौर पर हैं यानी उनको अपने इस्तेमाल में लाना जाइज़ नहीं सिर्फ़ इतना कर सकता है कि हदिया की चीज़ उसमें खा सकता है। जबकि दोनों के माबैन इन्बिसात हो या उस हदिये को दूसरे बर्तन में लौटने से चीज़ बदमज़ा हो जाती हो। (आलमगीरी) आज कल देखा जाता है कि बहुत लोग दूसरे के बर्तनों को जिनमें कोई चीज़ आती है। और उस वक़्त किसी वजह से बर्तन वापस नहीं किये गये। अपने घर के काम में लाते हैं उनको इससे एहतिराज़ चाहिए।

मसअ्ला.25: हमारे मुल्क में यह भी रिवाज है कि मिट्टी के प्याले में खीर भेजा करते हैं और मीलाद शरीफ़ और फ़ातिहा या किसी तक़रीब में मिठाई के हिस्से मिट्टी की तश्तरियों में भेजते हैं। इसमें तमाम मुल्क का यही रिवाज है कि वह प्याले और तश्तरियाँ भी देना मक़सूद होता है। वापस नहीं लेते लिहाज़ा मौहूब'लहू मालिक है बल्कि बाज़ लोग चीनी या तांबे की तश्तरियों में हिस्से बांटते हैं यानी मय बर्तन के दे देते हैं मगर उसका रिवाज नहीं है जब तक मौहूब'लहू से कहा न जाये। इस बर्तन को नहीं लेसकता।

मसअ्ला.26:– बहुत से लोगों की दावत की और उनको मुतअ़द्दिद दस्तरख़्वान पर बिठाया। एक

दस्तरख़्वान वाले किसी चीज़ को दूसरे दस्तरख़्वान वाले को नहीं दे सकते। मस्लन बाज़ मरतबा एक पर रोटी ख़त्म होगई और दूसरे पर मौजूद है यह लोग उसपर से रोटी उठाकर नहीं दे सकते। उन लोगों को यह भी इख़्तियार नहीं है कि साइल व फ़क़ीर को उसमें से टुकड़ा देदें। मस्लन बाज़ नावाक़िफ़ ऐसा करते हैं कि दूसरे के मकान पर खाना खा रहे हैं और फ़क़ीर ने सुवाल किया, उस खाने में से साइल को दे देते हैं यह नाजाइज़ है। कुत्ते और बिल्ली को भी नहीं दे सकते हाँ अगर बिल्ली खुद साहिबे ख़ाना की है। तो उसे दे सकते हैं और कुत्ता अगर साहिबे ख़ाना ही का हो नहीं दे सकते। (दुर्रेमुख़्तार) बिल्ली कुत्ते का फ़र्क़ वहाँ के उर्फ़ के लिहाज़ से है हमारे यहाँ न कुत्ते के देने का रिवाज है, न बिल्ली के। हाँ दस्तरख़्वान पर जो हड्डियाँ जमा होजाती हैं या रोटी के छोटे छोटे टुकड़े या गिरे हुए चावल, उनकी निस्बत देखा है कि कुत्ते को डाल देते हैं।

मसअ्ला.27:– बाइअ् ने चीज़ बैअ् करदी, और उसका समन भी वसूल कर लिया। उसके बाद बाइअ् ने मुश्तरी से समन मुआफ़ करदिया। यह मुआफ़ी सही है। और मुश्तरी ने जो कुछ समन दिया है बाइअ् से वापस ले लेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.28:– एक शख़्स ने दूसरे के पास ख़त लिखा और उसमें यह भी लिखा कि इसका जवाब पुश्त पर लिखदो। उसका वापस करना लाज़िम होगा और अगर यह नहीं लिखा तो वह ख़त मकतूब इलैह का है जो चाहे करे। (जोहरा) बल्कि इस ज़माने में यह उर्फ़ है कि ख़त दो रुक्क़ा काग़ज़ पर लिखते हैं, एक वर्क़ पर लिखना ऐब जानते हैं और अकसर ऐसा होता है कि ख़त में चन्द सतरें होती हैं बाक़ी काग़ज़ सादा होता है यह काग़ज़ मकतूब इलैह का है जो चाहे करे।

मसअ्ला.29:– एक शख़्स का इन्तिक़ाल होगया उसके बेटे के पास किसी ने कफ़न भेजा उस कफ़न का मालिक बेटा हो सकता है, या नहीं, यानी बेटे को यह इख़्तियार है, या नहीं कि इस कपड़े को खुद रखले और दूसरे का कफ़न देदे। अगर मय्यित उन लोगों में से है कि उसको कफ़न देना बाइसे बरकत जानते हैं मस्लन वह आलिम फ़क़ीह है या पीर है तो बेटे को वह कफ़न रख लेना, और दूसरा कफ़न देना जाइज़ नहीं वरना जाइज़ है। और पहली सूरत में, कि इस दूसरे कपड़े में कफ़न देना जाइज़ न था। इसने वह कपड़ा रख लिया और दूसरा कफ़न दिया तो उस कपड़े को वापस करना वाजिब होगा। (जोहरा)

इजारे का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ वजल्ल फ़रमाता है।

قالت احداهما یا ابت استا جره ز انّ خیر من استاجرت القوی الامین ☆ قال انی ارید ان انكحك احدى ابنتيّ هتين علىّ ان تاجرنى ثمنى حجج ج فان اتممت عشرا فمن عندك ج وما اريد ان اشقّ عليكط ستجدنى ان شاء الله من الصلحين☆

"शोएब (अलैहिस्सलाम) की दोनों लड़कियों में से एक ने कहा, ऐ वालिद ! इन्हें (मूसा अलैहिस्सलाम को) नौकर रख लीजिये कि बेहतर नौकर वह है जो क़वी व अमीन हो। (शोएब अ़लैहिस्सलाम ने मूसा अ़लैहिस्सलान से) कहा मैं चाहता हूँ कि अपनी इन दोनों लड़कियों में से एक से तुम्हारा निकाह़ करदूँ इस पर कि आठ बरस तक तुम मेरा काम उजरत पर करो अगर दस बरस पूरे कर दो, तो यह तुम्हारी तरफ़ से होगा मैं तुम पर मशक़्क़त डालना नहीं चाहता इन्शाअल्लाह तुम मुझे नेको में से पाओगे"।

हदीस (1) सही बुख़ारी शरीफ़ में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अ़न्हु से मरवी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम् फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि तीन शख़्स वह हैं जिनका क़ियामत के दिन ख़स्म हूँ (उनसे मैं मुतालबा करूँगा) एक वह जिसने मेरा नाम लेकर मुआ़हिदा किया फिर उस अ़हद को तोड़ दिया और दूसरा वह जिसने आज़ाद को बेचा और उसका समन खाया और तीसरा वह जिसने मज़दूर रखा और उससे काम पूरा लिया और उसकी मज़दूरी नहीं दी।

हदीस (2) इब्ने माजा ने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम् ने फ़रमाया "मज़दूर की मज़दूरी पसीना सूखने से पहले देदो"।

हदीस (3) सही बुख़ारी शरीफ़ में अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी, कहते हैं। "सहाबा में कुछ सफ़र में थे उनका गुज़र क़बाइले अरब में एक क़बीले पर हुआ उन्होंने "ज़ियाफ़त" का मुतालबा किया उन्होंने उनकी मेहमानी करने से इन्कार करदिया इस क़बीले के सरदार को साँप या बिच्छू ने काट लिया उसके इलाज में उन्होंने हर क़िस्म की कोशिश की मगर कोई कारगर न हुई फिर उन्हीं में से किसी ने कहा, यह जमाअत जो यहाँ आई है (सहाबा) इनके पास चलो, शायद उनमें से किसी के पास इसका कुछ इलाज हो वह लोग सहाबा के पास हाज़िर होकर कहने लगे कि हमारे सरदार को साँप या बिच्छू ने डस लिया और हमने हर क़िस्म की कोशिश की, मगर कुछ नफ़ा न हुआ क्या तुम्हारे पास इसका कुछ इलाज है एक साहब बोले, हाँ मैं झाड़ता हूँ मगर हमने तुमसे मेहमानी तलब की थी और तुमने हमारी मेहमानी नहीं की, तो अब उस वक़्त झाड़ूँगा, कि तुम इसकी उजरत दो उजरत में बकरियों का रेवड़ देना तय पाया। (एक रिवायत में है तीस बकरियाँ देना तय हुआ) उन्होंने अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन यानी सूरह फ़ातिहा पढ़कर दम करना शुरू किया वह शख़्स बिल्कुल अच्छा होगया और वहाँ से ऐसा होकर गया कि उस पर ज़हर का कुछ असर न था उजरत जो मुक़र्रर हुई थी उन्होंने पूरी दे दी उनमें से बाज़ ने कहा कि इसको आपस में तक़सीम कर लिया जाये मगर जिन्होंने झाड़ा था यह कहा कि ऐसा न करो बल्कि जब हम नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम् की ख़िदमत में हाज़िर हो लेंगे और हुज़ूर से तमाम वाक़िआत अर्ज़ कर लेंगे फिर इसके मुताल्लिक़ जो कुछ हुक्म देंगे वह किया जायेगा यानी उन्होंने ख़्याल किया कि क़ुर्आन पढ़कर दम किया है कहीं ऐसा न हो कि इसकी उजरत हराम हो जब यह लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम् की ख़िदमत में हाज़िर हुए और इस वाक़िअ़े का ज़िक्र किया। इरशाद फ़रमाया कि तुम्हें इसका रक़िय्या (झाड़) होना कैसे मालूम हुआ और यह फ़रमाया कि तुमने ठीक किया आपस में इसे तक़सीम करलो और इस लिए (कि इसके जवाज़ के मुताल्लिक़ उनके दिल में कोई ख़दशा न रहे यह फ़रमाया कि) मेरा भी एक हिस्सा मुक़र्रर करो। इस हदीस से मालूम हुआ कि झाड़ फूँक की उजरत लेना जाइज़ है जबकि क़ुर्आन से हो या ऐसी दुआओं से जिनमें नाजाइज़ व बातिल अल्फ़ाज़ न हों।

हदीस (4) सही बुख़ारी शरीफ़ वग़ैरा में अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम् से सुना कि फ़रमाते हैं अगले ज़माने के तीन शख़्स कहीं जा रहे थे सोने के वक़्त एक ग़ार के पास पहुँचे, उसमें यह तीनों शख़्स दाख़िल होगये पहाड़ की एक चट्टान ऊपर से गिरी जिसने ग़ार को बन्द करदिया उन्होंने कहा अब उससे निजात की कोई सूरत नहीं बजुज़ इसके कि तुमने जो कुछ नेक काम किया हो उसके ज़रिये से अल्लाह से दुआ करो एक ने कहा ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन बूढ़े थे जब मैं जंगल से बकरियाँ चराकर लाता तो दूध दूहकर सबसे पहले उनको पिलाता उनसे पहले न अपने बाल बच्चों को पिलाता, न लौंडी गुलाम को देता एक दिन मैं जंगल में दूर चला गया रात में जानवरों को ऐसे वक़्त में लेकर आया कि वालिदैन सोगये थे मैं दूध लेकर उनके पास पहुँचा तो वह सोये हुए थे। बच्चे भूक से चिल्ला रहे थे मगर मैंने वालिदैन से पहले बच्चों को पिलाना पसन्द न किया कि इन्हें सोते से जगादूँ। दूध का प्याला हाथ में रखे हुए, उनके जागने के इन्तिज़ार में रहा यहाँ तक कि सुबह चमक गई अब वह जागे और दूध पिया ऐ अल्लाह अगर मैंने यह काम तेरी ख़ुशनूदी के लिये किया है तो इस चट्टान को हटादे उसका कहना था कि चट्टान कुछ सरक गई मगर इतनी नहीं हटी कि यह लोग ग़ार से निकल सकें। दूसरे ने कहा, ऐ अल्लाह मेरे चचा की लड़की थी जिसको मैं बहुत महबूब रखता था मैंने उसके साथ बुरे काम का इरादा किया उसने इन्कार कर दिया वह क़हत की मुसीबत में मुब्तला हुई मेरे पास कुछ माँगने को आई मैंने उसे एक सौ बीस अशरफ़ियाँ दीं

कि मेरे साथ ख़लवत करे वह राज़ी होगई जब मुझे उस पर क़ाबू मिला तो बोली कि ना'जाइज़ तौर पर इस मुहर का तोड़ना तेरे लिए हलाल नहीं करती इस काम को मैं गुनाह समझकर हट गया। और अशरफ़ियाँ जो दे चुका था वह भी छोड़दीं इलाही यह काम तेरी रज़ा जोई के लिये मैंने किया है तो इसको हटा दे इसके कहते ही चट्टान कुछ सरक गई मगर इतनी नहीं हटी कि निकल सकें। तीसरे ने कहा ऐ अल्लाह मैंने चन्द शख़्सों को मज़दूरी पर रखा था उन सब को मज़दूरियाँ दे दीं। एक शख़्स मज़दूरी छोड़कर चलागया उसकी मज़दूरी को मैंने बढ़ाया यानी उससे तिजारत वग़ैरा कोई ऐसा काम किया जिससे उसमें इज़ाफ़ा हुआ उसको बढ़ाकर मैंने कुछ कर लिया वह एक ज़माने के बाद आया और कहने लगा, ऐ ख़ुदा के बन्दे, मेरी मज़दूरी मुझे देदे मैंने कहा, यह जो कुछ ऊँट, गायें, बैल, बकरियां, गुलाम तू देख रहा है यह सब तेरी ही मज़दूरी का है सब लेले। बोला, ऐ बन्दा–ए–ख़ुदा मुझसे मज़ाक़ न कर, मैंने कहा, मज़ाक़ नहीं करता हूँ यह सब तेरा ही है। लेजा, वह सब कुछ लेकर चला गया। इलाही अगर यह काम मैंने तेरी रज़ा के लिये किया है तो इसे हटा दे वह पत्थर हट गया यह तीनों उस ग़ार से निकल कर चले गये।

हदीस (4) अबू दाऊद इब्ने माजा उ़बादा बिन सामित रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कहते हैं। मैंने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह एक शख़्स को मैं क़ुरआन पढ़ाता था उसने कमान हदियतन दी यह कोई माल नहीं है यानी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे उजरत कहा जाये जिहाद में इससे तीर अन्दाज़ी करूँगा। इरशाद फ़रमाया, अगर तुम्हें पसन्द हो कि तुम्हारे गले में आग का तौक़ डाला जाये तो इसे क़बूल करलो।

मसाइले फ़िक़्हिय्यह :– किसी शय के नफ़ा का एवज़ के मुक़ाबिल किसी शख़्स को मालिक कर देना इजारा है। मज़दूरी पर काम करना, और ठेका और किराया और नौकरी यह सब इजारे ही के अक़साम हैं। मालिक को आजिर, मूजिर और मुवाजिर और किरायेदार को मुस्ताजिर और उजरत पर काम करने वाले को अजीर कहते हैं।

मसअ्ला.1:– जिस नफ़ा पर अ़क़्द इजारा हो वह ऐसा होना चाहिए कि इस चीज़ से वह नफ़ा मक़सूद हो और अगर चीज़ से यह मनफ़अ़त न हो जिसके लिये इजारा हुआ है तो यह इजारा फ़ासिद है मसलन किसी से कपड़े और ज़ुरूफ़ (बर्तन) किराये पर लिये मगर इस लिए नहीं कि कपड़े पहने जायेंगे, ज़ुरूफ़ इस्तेमाल किये जायेंगे बल्कि अपना मकान सजाना मक़सूद है या घोड़ा किराये पर लिया, मगर इस लिए नहीं कि उस पर सवार होगा बल्कि कोतल (सजावट के तौर पर आगे चलने के लिए सवारी के लिए न हो) चलने के लिए, या मकान किराये पर लिया इस लिए नहीं कि इसमें रहेगा बल्कि लोगों को कहने को होगा कि यह मकान फुलाँ का है इन सब सूरतों में इजारा फ़ासिद है और मालिक को उजरत भी नहीं मिलेगी अगरचे मुस्ताजिर ने चीज़ से वह काम लिए जिसके लिए इजारा किया था। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– इजारे के अरकान ईजाब व क़बूल हैं । ख़्वाह लफ़्ज़ ही से हों या दूसरे लफ़्ज़ से लफ़्ज़े आ़रियत से भी इजारा मुनअ़क़िद हो सकता है मसलन यह कहा, 'मैंने यह मकान एक महीने को दस रूपये के एवज़ में आ़रियत पर दिया' दूसरे ने क़बूल कर लिया इजारा हो गया। यूँही अगर यह कहा कि मैंने इस मकान के नफ़ा इतने के बदले में तुम को हिबा किये, इजारा होजायेगा। (बहर)

मसअ्ला.3:– जो चीज़ मबीअ़ का समन हो सकती है वह उजरत भी हो सकती है मगर यह ज़रूरी नहीं कि जो उजरत होसके वह समन भी होजाये मसलन एक मनफ़अ़त दूसरे मनफ़अ़त की उजरत होसकती है जबकि दोनों दो जिन्स की हों और मनफ़अ़त समन नहीं हो सकती। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– इजारे के शराइत यह हैं (1) आ़क़िल होना यानी मजनून और नासमझ बच्चे ने इजारा किया, वह मुनअ़क़िद ही न होगा। बुलूग़ उसके लिए शर्त नहीं यानी नाबालिग़, आ़क़िल ने अपने नफ़्स के मुताल्लिक़ इजारा किया या माल के मुताल्लिक़ किया अगर वह माज़ून है यानी उसे उसके वली ने इजाज़त देदी है तो इजारा मुनअ़क़िद और अगर माज़ून नहीं है तो वली की इजाज़त

पर मौकूफ़ है जाइज़ कर देगा, जाइज़ होजायेगा और अगर नाबालिग़ ने बिग़ैर इजाज़ते वली काम करने पर इजारा किया और उस काम को करलिया मसलन किसी की मज़दूरी चार आने रोज़ पर की, तो अब वली की इजाज़त दरकार नहीं बल्कि उजरत का मुस्तहिक़ होगया। (2) मिल्क व विलायत यानी इजारा करने वाला मालिक या वली हो इजारा करने का उसे इख़्तियार हासिल हो। फ़िज़ूली ने जो इजारा किया, वह मालिक या वली की इजाज़त पर मौकूफ़ होगा और वकील ने अक़्दे इजारा किया यह जाइज़ है। (3)मुस्ताजिर को वह चीज़ सिपुर्द कर देना जबकि उस चीज़ के मुनाफ़े पर इजारा हुआ हो। (4)उजरत का मालूम होना (5)मनफ़अत का मालूम होना और इन दोनों को इस तरह बयान कर दिया हो कि निज़ाअ् का एहतिमाल (शक) न रहे। अगर यह कह दिया कि इन दो मकानों में से एक को किराये पर दिया या दो गुलामों में से एक को मज़दूरी पर दिया यह इजारा सही नहीं है। (6)जहाँ इजारे के ताल्लुक़ वक़्त से हो वहाँ मुददत बयान करना मसलन मकान किराये पर लिया तो यह बताना ज़रूर है कि इतने दिनों के लिए लिया यह बयान करना ज़रूरी नहीं कि इसमें क्या काम करेगा। (7)जानवर किराये पर लिया, इसमें वक़्त बयान करना होगा या जगह मसलन घन्टाभर सवारी लेगा या फुलाँ जगह तक जायेगा और काम भी बयान करना होगा इससे कौनसा काम लिया जायेगा मसलन बोझ लादने के लिये या सवारी के लिये (8) वह काम ऐसा हो कि उसका इस्तीफ़ा (पूरा होना) कुदरत में हो अगर हक़ीक़तन मक़दूर न हो (कुदरत न हो) मसलन गुलाम को इजारे पर दिया और वह भागा हुआ है या शरअन ग़ैर मक़दूर हो मसलन गुनाह की बातों पर इजारा, यह दोनों इजारे सही नहीं (9) वह अमल जिसके लिये इजारा हो उस शख़्स पर फ़र्ज़ या वाजिब न हो। (10)मनफ़अत मक़सूद हो (11)उसी जिन्स की मनफ़अत उजरत न हो (12)इजारे में ऐसी शर्त न हो जो मुक़तज़ाए अक़्द के ख़िलाफ़ हो।

मसअ्ला.5:– इजारे का हुक्म यह है कि तरफ़ैन बदलैन के मालिक हो जाते हैं मगर यह मिल्क एक दम नहीं होती बल्कि वक़्तन फ़'वक़्तन होती है। (दुर्रेमुख़्तार) मगर जबकि ताजील यानी पेशगी लेना शर्त हो तो अक़्द करते ही उजरत का मालिक होजायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– इजारा कभी तआती से भी मुनअक़िद होजाता है अगर मुददत मालूम हो मसलन मकान किराये पर दिया उसने किराया दे दिया और मालूम है कि एक माह के लिये सही है तवील मुददत का इजारा तआती से मुनअक़िद नहीं होता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– मनफ़अत की मिक़दार का इल्म मुददत बयान करने से होता है मसलन पाँच रूपये में एक महीने के लिए मकान किराये पर लिया या एक साल के लिये खेत इजारे पर लिया यह इख़्तियार है कि जिस मुददत के लिये इजारा हो वह क़लील मुददत हो मसलन एक घन्टा या एक दिन या तवील दस बरस, बीस बरस, पचास बरस अगर इतनी मुददत के लिये इजारा हो कि आदतन इतनी ज़िन्दगी मुतवक़्क़े न हो (उतनी ज़िन्दगी की उम्मीद न हो) । जब भी इजारा दुरूस्त है वक़्फ़ के इजारे की मुददत तीन साल से ज़्यादा न होनी चाहिए मगर जबकि इतने दिनों के लिये कोई किरायेदार न मिलता हो या मुददत बढ़ाने में ज़्यादा फ़ायदा है तो बढ़ा सकते हैं। (बहर, वग़ैरहा)

मसअ्ला.8:– कभी अमल का बयान खुद उसका नाम लेने से होता है मसलन इस कपड़े की रंगाई या सिलाई या इस ज़ेवर की बनवाई मगर काम को इस तरह बयान करना होगा कि जिहालत बाक़ी न रहे कि झगड़ा हो लिहाज़ा जानवर को सवारी के लिये लिया, उसमें फ़क़त फ़ेअ्ल बयान करना काफ़ी नहीं जब तक जगह या वक़्त का बयान न हो कभी इशारा करने से मनफ़अत का पता चलता है मिस्ल कह दिया। यह ग़ल्ला फुलाँ जगह लेजाना है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– इजारे में उजरत महज़ अक़्द से मिल्क में दाख़िल नहीं होती यानी अक़्द करते ही उजरत का मुतालबा नहीं कर सकता यानी फ़ौरन उजरत देना वाजिब नहीं उजरत मिल्क में आने की चन्द सूरतें हैं। (1)इसने पहले ही से अक़्द करते ही उजरत देदी दूसरा उसका मालिक होगया

यानी वापस लेने का उसको हक़ नहीं है। (2)या पेशगी लेना शर्त कर लिया हो अब उजरत का मुतालबा पहले ही दुरूस्त है। (3)या मनफ़अत को हासिल कर लिया मस्लन मकान था उसमें मुददते मुक़र्ररा तक रह लिया या कपड़ा दर्जी को सीने के लिये दिया था उसने सी दिया। (4) वह चीज़ मुस्ताजिर को सिपुर्द करदी कि अगर वह मनफ़अत हासिल करना चाहे कर सकता है न करे, यह उसका फ़ेअ्ल है मस्लन मकान पर क़ब्ज़ा देदिया या अजीर ने अपने नफ़्स को तस्लीम कर दिया कि मैं हाजिर हूँ, काम के लिये तैयार हूँ, काम न लिया जाये जब भी उजरत का मुस्तहिक़ है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– इजारे का जो कुछ ज़माना मुक़र्रर हुआ है उसमें से थोडा ज़माना गुजरगया और बाक़ी, बाक़ी है। उस बाक़ी ज़माने में मालिक को चीज़ देना, और मुस्ताजिर को लेना जरूरी है यानी कुछ ज़माना गुज़र जाना, बाज़ रहने का सबब नहीं हो सकता हाँ जो ज़माना गुजर गया अगर इजारे से असली मक़सूद वही ज़माना हो यानी ज़माना ज़्यादा कारआमद हो तो मुस्ताजिर को इख़्तियार है बाक़ी जमाने में लेने से इन्कार करदे जैसे मक्का मुअज़्ज़मा में मकानात का इजारा एक साल के लिये होता है मगर मौसमे हज ही एक बेहतर ज़माना है कि मुअ़ल्लेमीन हुज्जाज को इन मकानात में ठहराते हैं और उसी की ख़ातिर पूरे साल का किराया देते हैं अगर मौसमे हज निकल गया और मकान तस्लीम नहीं किया तो किरायेदार यानी मुअ़ल्लेमीन को इख़्तियार है कि मकानात लेने से इन्कार करदें। (बहरूर्राइक) इसी तरह नैनीताल वग़ैरा पहाड़ों पर मौसमे गर्मा ज़्यादा मक़सूद होता है इसी के लिये एक साल का किराया देते हैं बल्कि जाड़ों में मकानात और दुकानें छोड़कर लोग उमूमन वहाँ से चले जाते हैं अगर यह मौसमे गर्मा ख़त्म होगया और मकान या दुकान पर मालिक ने क़ब्ज़ा न दिया तो जाड़ों में जबकि वहाँ रहना नहीं है लेकर क्या करेगा लिहाज़ा किरायेदार को इख़्तियार है अगर लेना चाहे ले सकता है न लेना चाहे इन्कार कर सकता है इसी तरह बाज़ जगह बाज़ मौसम में बाज़ार का चाल अच्छा होता है इसी के लिये साल भर तक दुकानें किराये पर रखते हैं वह ज़माना न मिले तो इख़्तियार है मस्लन अजमेर शरीफ़ में दुकानदारी का पूरा नफ़ा ज़माना–ए–उर्स में होता है इस ज़माने में मकानात के किराये भी बनिस्बत दीगर ज़माने के बहुत ज़्यादा होते हैं इस ज़माने में मकान या दुकान पर क़ब्ज़ा न मिलना किरायेदार के लिये नुक़सान का सबब है लिहाज़ा उसे इख़्तियार है।

मसअ्ला.11:– पेशगी उजरत शर्त करने से मुस्ताजिर से उस वक़्त मुतालबा होगा जब वह इजारा मिनजुजहि हो मस्लन यह मकान हमने तुमको इतने किराये पर देदिया और अगर इजारा मुजाफ़ा हो कि फलाँ महीने के लिए मस्लन किराये पर दिया इसमें अभी से किराये का मुतालबा नहीं हो सकता अगरचे पेशगी शर्त हो। (बहर)

मसअ्ला.12:– मनफ़अत हासिल करने पर क़ादिर होने से उजरत वाजिब होजाती है अगरचे मनफ़अत हासिल न की हो इसका मतलब यह है कि मस्लन मकान किरायेदार को सिपुर्द कर दिया जाये इस तरह कि मालिक मकान के मताअ् व सामान से खाली हो और उसमें रहने से कोई मानेअ् (रूकावट) न हो इसकी जानिब से न अजनबी की जानिब से इस सूरत में अगर वह न रहे, और बेकार मकान को खाली छोडदे तो उजरत वाजिब होगी लिहाजा अगर मकान सिपुर्द ही न किया, या सिपुर्द किया मगर उसमें खुद मालिक मकान का सामान व अस्बाब है, या मुद्दत गुजर जाने के बाद सिपुर्द किया या मुद्दत ही में सिपुर्द किया मगर उसे कोई उज़्र है या उसको उज़्र भी नहीं मगर हुकूमत की जानिब से रहने की मुमानअत है या गासिब ने उसे गसब कर लिया, या वह इजारा ही फासिद है इन सब सूरतों में मालिक मकान उजरत का मुस्तहिक़ नहीं। जानवर को किराये पर लिया उसमें भी यह सूरतें हैं बल्कि इसमें यह सूरत जायद है कि मालिक ने उसे जानवर देदिया मगर जहाँ सवार होने के लिये लिया था वहाँ नहीं गया बल्कि किसी दूसरी जगह जानवर को बाँध रखा, मस्लन लिया था इस लिए, कि शहर से बाहर फुलाँ जगह सवार होकर जायेगा और

जानवर को मकान ही में बांध रखा, वहाँ गया ही नहीं कि सवार होता इस सूरत में भी उजरत वाजिब नहीं और अगर शहर में सवार होने के लिये लिया था और मकान में बांध रखा सवार नहीं हुआ तो उजरत वाजिब है। (तहतावी)

मसअ्ला.13:– ग़सब से मुराद इस जगह यह है कि इससे मनफ़अ़त हासिल करने से रोकदे। हक़ीक़तन ग़सब हो या न हो, ग़सब आ़म है कि पूरी मुद्दत में हो या बाज़ मुद्दत में, अगर पूरी मुद्दत में हो तो पूरा किराया जाता रहा और बाज़ मुद्दत में हो तो हिसाब से इतने दिनों का जो किराया होता है वह नहीं मिलेगा। (बहर) इसी तरह अगर कोई दूसरा दूसरी रुकावट मुद्दत के अन्दर पैदा होगई कि उस चीज़ से इन्तिफ़ाअ् न हो सके (फ़ायदा न उठाया जासके) तो बक़िया मुद्दत की उजरत साक़ित है (ख़त्म है) मस्लन ज़मीन काश्त के लिये ली थी वह पानी से डूब गई या पानी न होने की वजह से काश्त न होसकी, या जानवर सवारी के लिये किराये पर लिया था वह बीमार हो गया या भाग गया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– मकान किराये पर दिया और क़ब्ज़ा भी देदिया मगर एक कोठरी में मालिक ने अपना सामान रखा, या एक कोठरी मालिक ने मुस्ताजिर से ख़ाली कराई तो किराये में से उसके किराये की मिक़दार कम करदी जायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– मुस्ताजिर ने किराया देदिया है और अन्दुरूने मुद्दत इजारा तोड़ दिया गया तो बाक़ी ज़माने का किराया वापस करना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– कपड़ा किराये पर पहनने के लिये लिया कि हर रोज़ एक पैसा किराया देगा और ज़मान–ए–दराज़ तक अपने मकान पर रख छोड़ा, पहना ही नहीं तो देखा जायेगा कि रोज़ाना पहनता तो कितने दिन में फट जाता इतने ज़माने तक का किराया एक पैसे यौमिया उसके ज़िम्मे वाजिब है उसके बाद किराया वाजिब नहीं मस्लन साल भर तक उसके यहाँ रहगया और पहनता, तो तीन माह में फट जाता सिर्फ़ तीन माह का किराया देना होगा। (तहतावी) इसी तरह यौमिया या माहवार पर बहुत सी चीज़ें किराये पर दी जाती हैं मस्लन शामियाना का किराया यौमिया होता है कि फ़ी यौम इतना किराया, जितने दिनों उसके यहाँ रहेगा, किराया देना होगा यह नहीं कह सकता कि मेरे यहाँ एक ही दिन का काम था उसके बाद बेकार पड़ा रहा। ऐसा ही गैस के हन्डे किराये पर लाया, उसका किराया हर रात इतना होगा जितनी रातें उसके यहाँ हन्डे रहे उनका किराया दे यानी जब इजारे की कोई मुद्दत मुक़र्रर न हुई हो।

मसअ्ला.17:– जानवर को किराये पर लिया कि फ़ुलाँ रोज़ मुझे सवार होकर फ़ुलाँ जगह, जाना है। मालिक ने उसे जानवर देदिया मगर जो दिन जाने का मुक़र्रर किया था उस रोज़ नहीं गया दूसरे रोज़ गया उजरत वाजिब नहीं मगर अगर जानवर उसके मकान पर हलाक होगया तावान देना होगा। इसने नाहक़ उसको रोक रखा है। (तहतावी)

मसअ्ला.18:– इजारा–ए–फ़ासिदा में मनफ़अ़त हासिल करने पर वाजिब होती है अगर मनफ़अ़त हासिल करने पर क़ादिर था और हासिल नहीं की, उजरत वाजिब नहीं फिर इजारा फ़ासिद में अगर उजरत मुक़र्रर है तो उजरते मिस्ल वाजिब होगी (यानी उस तरह के मुआ़मले या चीजों में जो क़ीमत होगी वही दी जायेगी ..क़ादरी) जो मुक़र्रर से ज़ायद न हो यानी अगर उजरते मिस्ल मुक़र्रर से कम है तो उजरते मिस्ल देंगे और अगर मुक़र्रर की बराबर या उससे ज़ायद है तो जो मुक़र्रर है वही देंगे ज़यादा नहीं देंगे और अगर उजरत का तक़र्रुर नहीं हुआ है तो उजरते मिस्ल वाजिब है इसकी मिक़दार जो कुछ हो। (तहतावी)

मसअ्ला.19:– ज़मीने वक़्फ़ और ज़मीने यतीम और जो जायदाद किराये पर चलाने के लिये है उनका भी यही हुक्म है कि महज़ इन्तिफ़ाअ् (फ़ायदा उठाने) पर क़ादिर होने से इजारा–ए–फ़ासिदा में उजरत वाजिब नहीं होगी बल्कि हक़ीक़तन इन्तिफ़ाअ् ज़रूरी है यानी वक़्फ़ की ज़मीन ज़राअ़त (खेती) के लिये बतौर इजारा ए फ़ासिदा ली, अगर ज़राअत करेगा उजरत वाजिब होगी वरना नहीं। यूँही

यतीम की ज़मीन ज़राअ़त के लिये ली, या मकान किराये पर रहने के लिये बतौर इजारा फ़ासिदा लिया, या जायदाद किराये पर चलाने के लिये है उसको इजारा–ए–फ़ासिद के तौर पर लिया इन सब में भी जब तक मनफ़अ़त हासिल न करे उजरत वाजिब नहीं महज़ क़ादिर होना उजरत को वाजिब नहीं करता। (तहतावी)

मसअ्ला.20:– जिस चीज़ को किराये पर लिया था उसको किसी ने ग़सब करलिया कि यह इन्तिफ़ाअ़ पर क़ादिर नहीं है मगर सिफ़ारिश के ज़रिये से वह चीज़ निकाल सकता है या लोगों की हिमायत से ग़ासिब को जुदा कर सकता है और उसने ऐसा नहीं किया कि उजरत साक़ित नहीं होगी और अगर ग़ासिब को इस वजह से नहीं निकाला कि अ़लैहिदा करने में कुछ ख़र्च करना पड़ेगा तो उजरत साक़ित है। (दुर्रेमुख़्तार, तहतावी)

मसअ्ला.21:– मूजिर और मुस्ताजिर में इख़्तिलाफ़ हुआ। मूजिर कहता है किसी ने ग़सब नहीं किया और मुस्ताजिर कहता है ग़सब किया अगर मुस्ताजिर के पास गवाह नहीं हैं तो यह देखा जायेगा कि फ़िलहाल क्या हैं अगर फ़िलहाल मकान में मुस्ताजिर सुकूनत पज़ीर है तो मूजिर की बात मानी जायेगी और उजरत दिलाई जायेगी और अगर मुस्ताजिर के सिवा कोई दूसरा साकिन है तो मुस्ताजिर की बात मक़बूल है उजरत वाजिब नहीं। (बहर)

मसअ्ला.22:– मालिक मकान ने मकान की कुन्जी मुस्ताजिर को देदी मगर कुन्जी उसके पास से जाती रही अगर मकान को बिला तकल्लुफ़ खोल सकता है और नहीं खोला उजरत वाजिब है वरना नहीं अगर मुस्ताजिर उस कुन्जी से क़ुफ़्ल नहीं खोल सकता है मकान का तस्लीम कर देना और क़ब्ज़ा देना नहीं पाया गया और उजरत वाजिब नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.23:– इजारा अगर मुतलक़ है इसमें यह बयान नहीं किया गया कि उजरत कब दी जायेगी तो मकान और ज़मीन का किराया रोज़ाना वुसूल कर सकता है और सवारी का हर मन्ज़िल पर। मसलन यह ठहरा है कि हमको यहाँ से फुलाँ जगह जाना है इसका यह किराया है मगर यह तय नहीं हुआ है कि किराया पहुँचकर दिया जायेगा या कब, तो हर मन्ज़िल पर हिसाब से जो किराया होता है। वुसूल कर सकता है मगर सवारी वाला यह नहीं कर सकता कि मैं आगे नहीं जाऊँगा जहाँ तक ठहरा है वहाँ तक पहुँचाना उस पर लाज़िम है और अगर यह बयान कर दिया गया है कि इतने दिनों में किराया लिया जायेगा तो हर रोज़ या हर हफ़्ते में मुतालबा नहीं कर सकता। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.24:– दर्ज़ी, धोबी, सुनार वग़ैरा जब इन कारीगरों ने काम कर लिया और मालिक को चीज़ सिपुर्द करदी उजरत लेने के मुस्तहिक़ होगये यही हुक्म हर उस काम करने वाले का है जिसके काम का उस शय में कोई अस्र हो जैसे रंगरेज़, कि इसने कपड़ा रंगकर मालिक को दिया उजरत का मुस्तहिक़ होगया और अगर उन लोगों ने काम तो किया मगर चीज़ अभी तक मालिक को सिपुर्द नहीं की उजरत के मुस्तहिक़ नहीं हुए लिहाज़ा अगर उनके यहाँ चीज़ ज़ाइअ़ होगई उजरत भी नहीं पायेंगे अगरचे चीज़ का उनको तावान भी नहीं देना पड़ेगा और अगर काम का कोई अस्र नहीं होता जैसे हम्माल कि चीज़ को यहाँ से उठाकर वहाँ लेगया यह उजरत के उस वक़्त मुस्तहिक़ होंगे जब इन्होंने काम कर लिया इसकी ज़रूरत नहीं कि मालिक को सिपुर्द करदें जब इस्तेहक़ाक़ हो लिहाज़ा पहुँचादेने के बाद अगर चीज़ ज़ाइअ़ होगई, उजरत वाजिब है।(दुर्रेमुख़्तार)अगर हम्माल ने पहुँचाया न हो रास्ते ही में उजरत माँगता है तो यहाँ तक की जितनी उजरत हिसाब से हो ले सकता है मगर जहाँ तक ठहरा है उस पर वहाँ तक पहुँचाना लाज़िम है और पहुँचाने पर बाक़ी उजरत का मुस्तहिक़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.25:– धोबी ने कहा, तुम्हारा कपड़ा धोने के लिये लिया ही नहीं है उसके बाद कपड़े का इक़रार कर लिया, अगर इन्कार से पहले धो चुका है धुलाई का मुस्तहिक़ है और इन्कार करने के बाद धोया तो धुलाई का मुस्तहिक़ नहीं और रंगरेज़ ने कपड़े से इन्कार कर दिया फिर इक़रार

किया अगर इन्कार से पहले रंग चुका है उजरत का मुस्तहिक़ है और इन्कार के बाद रंगा, तो मालिक को इख़्तियार है कि कपड़ा लेले, और रंग की वजह से जो कुछ कपड़े की क़ीमत में इज़ाफ़ा हुआ है वह देदे, और चाहे तो सफ़ेद कपड़े की क़ीमत तावान ले और कपड़े बुनने वाले ने सूत से इन्कार किया फिर इक़रार किया और इन्कार से क़ब्ल बुन चुका है उजरत मिलेगी और इन्कार के बाद बुना है तो कपड़ा उसी बुनने वाले का है और सूत वाले को इतना ही दे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.26:– दर्ज़ी ने मुस्ताजिर के घर पर कपड़ा सिया तो काम करने पर उजरत वाजिब हो जायेगी। मालिक को सिपुर्द करने की ज़रूरत नहीं कि जब उसके मकान ही पर काम कर रहा है तो तस्लीम करने की ज़रूरत नहीं। यह ख़ुद ही तस्लीम के हुक्म में है लिहाज़ा कपड़ा सी रहा था। चोरी हो गया उजरत का मुस्तहिक़ है बल्कि अगर कुछ सिया था कुछ बाक़ी था मसलन पूरा कुर्ता सिया भी नहीं था कि जाता रहा जितना सी लिया था उसकी उजरत वाजिब है। (तहतावी)

मसअ्ला.27:– मज़दूर दीवार बना रहा है कुछ बनाने के बाद गिरगई तो जितनी बना चुका है उसकी उजरत वाजिब होगई दर्ज़ी ने कपड़ा सिया था मगर किसी ने यह सिलाई तोड़दी सिलाई नहीं मिलेगी हाँ जिसने तोड़ी है उससे तावान लेसकता है और अब दोबारा सीना भी दर्ज़ी के ज़िम्मे पर वाजिब नहीं कि काम कर चुका है और अगर ख़ुद दर्ज़ी ही ने सिलाई तोड़दी तो दोबारा सीना वाजिब है गोया उसने काम किया ही नहीं। (बहर)

मसअ्ला.28:– दर्ज़ी ने कपड़ा क़ता किया, और सिया नहीं, बिग़ैर सिये मरगया क़ता करने की कुछ उजरत नहीं दी जायेगी कि आ़दतन सिलाई की उजरत देते हैं क़ता करने की उजरत नहीं दी जाती। हाँ अगर अस्ल मक़सद दर्ज़ी से कपड़ा क़ता कराना ही है सिलवाना नहीं है तो उसकी उजरत भी हो सकती है। (तहतावी, बहर)

मसअ्ला.29:– धोबी को धोने के लिये कपड़े दिये और धुलाई का तज़किरा नहीं हुआ कि क्या होगी, उजरते मिस्ल वाजिब होगी क्योंकि उसका काम ही यह है कि उजरत पर कपड़ा धोता है(बहर)

मसअ्ला.30:– नानबाई उस वक़्त उजरत लेने का हक़दार होगा जब रोटी तन्नूर से निकाल ले कि अब उसका काम ख़त्म हुआ और कुछ रोटियाँ पकाई हैं कुछ बाक़ी हैं तो जितनी पका चुका है। हिसाब करके उनकी पकवाई लेसकता है यह उस सूरत में है कि मुस्ताजिर यानी पकवाने वाले के मकान पर रोटी पकाई और पकने के बाद यानी तन्नूर से निकालने के बाद बिग़ैर उसके फ़ेअ्ल के कोई रोटी तन्नूर में गिरगई और जल गई तो उसकी उजरत मिन्हा नहीं की जा सकती कि तन्नूर से निकालकर रखने के बाद उजरत का हक़दार होचुका है और इस रोटी का उससे तावान भी नहीं लिया जा सकता कि उसने ख़ुद नुक़सान नहीं किया है और अगर तन्नूर से निकालने के पहले ही जलगई तो उसकी उजरत नहीं मिलेगी बल्कि तावान देना होगा यानी उस रोटी का जितना आटा था वह तावान दे और अगर रोटी पकवाने वाले के यहाँ नहीं पकाई है ख़्वाह नानबाई ने अपने घर पकाई, या दूसरे के मकान पर और रोटी जल जाये या चोरी होजाये बहर हाल उजरत का मुस्तहिक़ नहीं है कि उसके लिये तस्लीम यानी मुस्ताजिर के क़ब्जे में देने की ज़रूरत है फिर अगर चोरी होगई तो नानबाई पर तावान नहीं क्योंकि आटा उसके पास अमानत था जिसमें तावान नहीं होता और अगर जलगई तो तावान देना होगा कि उसके फ़ेअ्ल से नुक़सान हुआ है और मालिक को इख़्तियार है कि रोटी का तावान ले या आटे का, अगर रोटी का तावान लेगा तो पकवाई देनी होगी और आटा ले तो नहीं। लकड़ी, नमक, पानी इनमें से किसी का तावान नहीं।(बहर, दुर्रेमुख़्तार,तहतावी)

मसअ्ला.31:– बावरची जो गोश्त या पुलाव वग़ैरा पकाता है अगर यह खाना दावत के मौक़े पर पकाया है वलीमे की दावत हो, या ख़तना की, छठी की, या अ़क़ीक़े की, या क़ुर्आन मजीद ख़त्म करने की, ग़र्ज़ किसी क़िस्म की दावत हो उसमें उजरत का उस वक़्त मुस्तहिक़ होगा जब सालन वग़ैरा बर्तनों में निकाल दे और घर वालों के लिये पकाया है तो खाना तैयार करने पर उजरत का

हक़दार होगया। (दुर्रेमुख़्तार) मगर यह वहाँ का उ़र्फ़ है कि बावरची ही खाना निकालते हैं। हिन्दुस्तान में उ़मूमन यह त़रीक़ा है कि बावरची तैयार कर देते हैं जिसने दा़वत की है उसके अ़ज़ीज़ व अक़ारिब दोस्त व अह़बाब खाना निकालते हैं, खिलाते हैं, बावरची से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं रहता लिहाज़ा यहाँ के उ़र्फ़ के लिहाज़ से खाना तैयार करने पर उजरत का मुस्तह़िक़ होजायेगा। निकालने की ज़रूरत नहीं।

मसअ्ला.32:– बावरची ने खाना ख़राब कर दिया या जला दिया या कच्चा ही उतार दिया उसे खाने का ज़मान देना होगा और अगर आग लेकर चला कि चूल्हा जलाये, या तन्नूर रौशन करे चिंगारी उड़ी, और मकान में आग लग गई मकान जल गया उसका तावान देना नहीं होगा उसमें उसके फ़ेल को दख़ल नहीं इसी त़रह़ किरायेदार से अगर मकान जल जाये तो तावान नहीं कि उसने क़स्दन ऐसा नहीं किया है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.33:– ईंट थापने वाला उजरत का उस वक़्त मुस्तह़िक़ है जब ईंट उसने खड़ी करदी उसके बा़द अगर ईंटों का नुक़सान हुआ तो मालिक का हुआ उसका नहीं और उससे पहले नुक़सान हुआ तो उसी का हुआ कि अभी तक यह उजरत का मुस्तह़िक़ नहीं है यह क़ौल इमामे आ़ज़म रह़मतुल्लाहि तआ़ला अ़लैहि का है। साहिबैन यह फ़रमाते हैं कि उजरत का मुस्तह़िक़ उस वक़्त होगा जब ईंटों का चट्टा लगा दे इसी पर फ़तवा है। (दुर्रेमुख़्तार) यहाँ के उ़र्फ़ से भी यही मा़लूम होता है कि चट्टा लगाने के बा़द उजरत मिले, क्योंकि चट्टा लगाना भी इन्हीं थापने वालों का काम होता है, न इसके लिए दूसरे मज़दूर रखे जाते हैं, न खुद उनको चट्टा लगाने की मज़दूरी दी जाती है बल्कि जहाँ तक देखा गया है यही मा़लूम हुआ है कि ईंटों का शुमार ही उस वक़्त करते हैं जब चट्टा लग जाये पहले क्या उजरत दी जायेगी।

मसअ्ला.34:– ईंट थापने का सांचा थपेरे के ज़िम्मे है कि यह उसके काम का आला है जैसे दर्ज़ी के लिये सुई, बढ़ई के लिए बसूला बग़ैरा हर क़िस्म के औज़ार मिट्टी, रेता मुस्ताजिर का है। मकान के अन्दर पहुँचा देना ह़म्माल का काम है यह नहीं कह सकता कि दरवाज़े तक मैंने पहुँचा दिया। अन्दर नहीं ले जाऊँगा। छत या दूसरी मन्ज़िल पर लेजाना ह़म्माल का काम नहीं है जब तक उससे शर्त़ न करलें वह ऊपर लेजाने से इन्कार कर सकता है। मटके, गोली और बर्तनों में ग़ल्ला भरना ह़म्माल का काम नहीं जब तक उसकी शर्त़ न हो। ऊँट या घोड़ा या कोई जानवर ग़ल्ला लादने के लिये किराये पर लिया तो ग़ल्ला लादना और उतारना जानवर वाले के ज़िम्मे है और मकान के अन्दर पहुँचाना उसके ज़िम्मे नहीं मगर जबकि उसकी शर्त़ हो या वहाँ का यही उ़र्फ़ हो। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.35:– बैल गाड़ी बहुतसी चीज़ें लादने के लिये किराये पर करते हैं गाड़ी वाले के ज़िम्मे वहाँ तक पहुँचा देना है जहाँ तक गाड़ी जाती हो उसके बा़द मालिक के ज़िम्मे है मगर जबकि यह शर्त़ हो कि मकान के अन्दर पहुँचाना होगा या वहाँ का उ़र्फ़ हो जिस त़रह़ उ़मूमन शहरों में यही त़रीक़ा है कि ठेले वाले जो चीज़ लादकर लाते हैं वह मकान के अन्दर तक पहुँचाते हैं।

मसअ्ला.36:– स्याही कातिब के ज़िम्मे है या़नी लिखने में जो स्याही स़र्फ़ होगी लिखवाने वाला नहीं देगा और कातिब के ज़िम्मे काग़ज़ शर्त़ कर देना इजारे ही को फ़ासिद कर देता है। (बहर) क़लम कातिब ही के ज़िम्मे है।

मसअ्ला.37:– जिस कारीगर के अ़मल का असर पैदा होता है जैसे रंगरेज, धोबी, यह अपनी उजरत वुसूल करने के लिये चीज़ रोक सकते हैं अगर इन्होंने चीज़ को रोका और ज़ाइअ़् (बर्बाद) हो गई तो चीज़ का तावान नहीं देना होगा मगर उजरत भी नहीं मिलेगी। यह रोकने का ह़क़ इस सूरत में है कि उजरत अदा करने के लिये कोई मीआ़द मुक़र्रर न की हो और अगर कह दिया है कि एक माह के बा़द मैं उजरत दूँगा और कारीगर ने मन्ज़ूर कर लिया तो अब चीज़ रोकने का ह़क़ जाता रहा और रोकने का ह़क़ उस वक़्त है कि कारीगर ने अपने मकान या दुकान में काम किया

हो और अगर खुद मुस्ताजिर के यहाँ काम किया, तो काम से फ़ारिग़ होना ही मुस्ताजिर को तस्लीम कर देना है इसमें रोकने की सूरत नहीं दर्ज़ी वगै़रा ने तअ़द्दी की, जिससे चीज़ में नुक़सान हुआ। तो मुतलक़न ज़ामिन है, अपने मकान पर काम किया हो, या मुस्ताजिर के मकान पर, या कहीं और। और अगर कश्ती में सामान लदा है मालिक भी कश्ती में है मल्लाह़ कश्ती को खींचे लेजा रहा है। और कश्ती डूब गई। मल्लाह़ ज़मान नहीं देगा। (बहरुर्राइक)

मसअ्ला.38:– असर होने का क्या मत़लब है बा़ज़ फुक़हा फ़रमाते हैं इसका यह मत़लब है कि काम करने वाले की कोई चीज़ उसमें शामिल होजाये जैसे रंगरेज़ ने कपड़े में अपना रंग शामिल कर दिया और फुक़हा यह कहते हैं कि इससे यह मुराद है कि कोई चीज़ जो नज़र नहीं आती थी। नज़र आये इस स़ानी की बिना पर धोबी भी दाख़िल है क्योंकि पीले कपड़े की सफ़ेदी नज़र नहीं आती थी। अगर धोबी ने कल्फ़ लगाया है तो पहली सूरत में भी दाख़िल है पिस्ता बादाम की गिरी निकालने वाला, लकड़ियाँ चीरने वाला, आटा पीसने वाला, दर्ज़ी और मौज़ा सीने वाला, जबकि डोरा अपने पास से न लगायें। ग़ुलाम का सर मूँडने वाला, यह सब इसमें दाख़िल हैं दोनों क़ौलों में ज़्यादा स़ही क़ौल स़ानी है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.39:– जिसके काम का असर उस चीज़ में न रहे जैसे ह़म्माल को ग़ल्ला एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है या मल्लाह़, कि किसी चीज़ को कश्ती पर लादकर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देता है या जिसने कपड़े को पाक करने के लिये धोया उसको सफ़ेद नहीं किया यह लोग उजरत वुसूल करने के लिये चीज़ को रोक नहीं सकते अगर रोकेंगे, ग़ासिब क़रार पायेंगे और ज़मान देना होगा और मालिक को इख़्तियार है अ़मल करने के बा़द जो क़ीमत हुई उसका तावान ले और इस सूरत में उजरत देनी होगी और चाहे तो वह कीमत तावान ले जो अ़मल के बिगै़र है और उस वक़्त उजरत नहीं मिलेगी। (बहरदुर्रे, मुख़्तार, तह़तावी)

मसअ्ला.40:– अजीर के पास चीज़ हलाक होगई मगर न तो उसके फ़ेअ़्ल से हलाक हुई और न उजरत लेन के लिये उसने चीज़ रोकी थी। और अजीर वह है जिसके अ़मल का असर पैदा होता है जैसे दर्ज़ी, रंगरेज़, तो इनकी उजरत नहीं मिलेगी और अगर अ़मल का असर पैदा नहीं होता जैसे ह़म्माल तो उसे उजरत मिलेगी। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.41:– जिससे काम कराना है अगर उससे यह शर्त़ करली कि तुमको खुद करना होगा या कहदिया कि तुम अपने हाथ से करना इस सूरत में खुद इसी को करना ज़रूरी है अपने शागिर्द या किसी और शख़्स से काम कराना जाइज़ नहीं और अगर करा दिया तो उजरत वाजिब नहीं इस सूरत में दाया का इस्तिस्ना है कि वह दूसरी से भी काम लेसकती है और अगर यह शर्त़ नहीं है कि वह खुद अपने हाथ से करेगा दूसरे से भी करा सकता है अपने शागिर्द से कराये या नौकर से कराये या दूसरे से, उजरत पर कराये, सब सूरतें जाइज़ हैं। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.42:– इजारा मुतलक़ था यानी खुद उस कारीगर के अपने हाथ से काम करने की शर्त़ नहीं थी कारीगर ने दूसरे को बिगै़र उजरत चीज़ सिपुर्द करदी यानी दूसरे को काम करने के लिये देदी जो अजीर नहीं है और वहाँ से चीज़ ज़ाइअ़ (बर्बाद) होगई तो अजीर पर ज़मान वाजिब है और अगर यह शख़्स़ पहले का अजीर है मस़लन दर्ज़ी को कपड़ा सीने के लिये दिया, दर्ज़ी ने दूसरे को उजरत पर सीने के लिये दिया और ज़ाइअ़ होगया तो तावान वाजिब नहीं न अव्वल पर, न दूसरे पर। (बहर)

मसअ्ला.43:– अजीर से कह दिया, तुम इतनी उजरत पर मेरा यह काम करदो यह इजारा मुत़लक़ की सूरत है और अगर यह कहे तुम अपने हाथ से काम करो या तुम खुद करो तो मुक़य्यद है अब दूसरे से कराना जाइज़ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.44:– एक शख़्स़ को अजीर मुक़र्रर कियां कि मेरी अ़याल (बच्चों) को फ़ुलाँ जगह से ले आओ, वह लेने गया मगर उनमें से बाज़ का इन्तिक़ाल होगया जो बाक़ी थे उन्हें लेआया अगर दोनों

को तादाद मालूम थी तो उजरत उसी हिसाब से मिलेगी मसलन चार बच्चे थे और उजरत चार रूपये थी तीन को लाया तीन रूपये पायेगा और अगर तादाद मालूम नहीं थी तो पूरी उजरत पायेगा। और अगर गया, और वहाँ से किसी को नहीं लाया तो कुछ उजरत नहीं मिलेगी कि काम किया ही नहीं। पहली सूरत में हिसाब से उजरत मिलना इस सूरत में है कि उनके कम या ज़्यादा होने से मेहनत में कमी बेशी हो मसलन छोटे छोटे बच्चे हैं गोद में लाना होगा ज़्यादा होंगे तकलीफ़ ज़्यादा होगी कम होंगे तकलीफ़ कम होगी और अगर कम ज़्यादा होने से उसकी मेहनत में कमी बेशी नहीं होगी मस्लन कश्ती किराये पर ली है कि उसमें सबको सवार करके लाओ अगर सब आयेंगे या बाज़ आयेंगे दोनों सूरतों में मेहनत यक्सां है इस सूरत में उजरत पूरी मिलेगी और अगर बच्चों के लाने का यह मतलब है कि अजीर उनके साथ साथ आयेगा सवारी का ख़र्च मुस्ताजिर के ज़िम्मे है। मस्लन कह दिया रेल पर या तांगे गाड़ी पर सवार करके लाओ या वह जगह क़रीब है सब पैदल चले आयेंगे इसको सिर्फ़ साथ रहना होगा या जगह दूर है मगर वह सब बड़े हैं पैदल चले आयेंगे उसकी मेहनत में उनके कम व बेश होने से कोई फ़र्क़ नहीं तो पूरी उजरत पायेगा(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.45:– एक शख़्स को अजीर किया, कि फ़ुलाँ जगह फ़ुलाँ शख़्स के पास मेरा ख़त ले जाओ और वहाँ से जवाब लाओ अगर यह ख़त लेकर नहीं गया उजरत का मुस्तहिक़ नहीं है कि सिर्फ़ आने जाने के लिये उसने अजीर नहीं किया था। जब उसने काम नहीं किया, उजरत किस चीज़ की लेगा और अगर वहाँ ख़त लेकर गया मगर मकतूब इलैहि (जिस को ख़त लिखा) का इन्तिक़ाल होगया था ख़त वापस लाया इस सूरत में भी उजरत का मुस्तहिक़ नहीं और अगर ख़त वापस नहीं लाया बल्कि वहीं छोड़ आया तो जाने की उजरत पायेगा. आने की नहीं और अगर मकतूब इलैहि वहाँ से चला गया है जब भी यही सूरतें हैं इसी तरह अगर मिठाई वग़ैरा कोई खाने की चीज़ भेजी थी जिसके पास भेजी थी वह मरगया या कहीं चला गया यह वापस लाया जब भी मज़दूरी का मुस्तहिक़ नहीं। (दुर, तहतावी)

मसअ्ला.46:– मुतवल्ली वक़्फ़ ने वक़्फ़ की जायदाद को उजरते मिस्ल से कम पर देदिया तो मुस्ताजिर पर उजरते मिस्ल वाजिब है। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.47:– एक मकान ख़रीदा, कुछ दिनों रहने के बाद मालूम हुआ कि यह मकान वक़्फ़ है या किसी यतीम का है। मकान तो वापस करना ही होगा जितने दिनों इसमें रहा है इसका किराया भी देना होगा। (तहतावी)

मसअ्ला.48:– मकान किराये पर लिया था और उसकी उजरत पेशगी देदी थी मगर मालिक मकान मरगया लिहाज़ा इजारा फ़स्ख़ होगया। किराया जो पेशगी दे चुका है उसके वसूल करने के लिए किरायेदार को मकान रोक लेने का हक़ नहीं। और अगर मालिक मकान पर दैन था और मर गया। दैन अदा करने के लिये मकान फ़रोख़्त किया गया तो ब'निस्बत दूसरे क़र्ज़ ख़्वाहों के यह अपना ज़र पेशगी वसूल करने में ज़्यादा हक़दार है यानी यह अपना पूरा रूपया समन से वसूल करले। इसके बाद कुछ बचे, तो दूसरे क़र्ज़'ख़्वाह अपने अपने हिस्से के मुवाफ़िक़ उस से ले सकते हैं। और कुछ नहीं बचा, तो उस समन से लेने के हक़दार नहीं। (तहतावी)

मसअ्ला.49:– मुस्ताजिर ने उजरत ज़्यादा करदी, मस्लन पाँच रूपये माहवार किराये का मकान था किरायेदार ने छः रूपये कर दिये। अगर अन्दुरूने मुद्दत यह इज़ाफ़ा है तो अस्ले अक़्द के साथ लाहिक़ होजायेगा जैसे बैअ् में समन का इज़ाफ़ा, और अगर मुद्दत पूरी होने के बाद इज़ाफ़ा किया जब भी ज़्यादा देना जाइज़ है यानी एक एहसान है। अक़्द बाक़ी न रहा इसके साथ क्योंकर लाहिक़ होगा और अजीर यानी मस्लन मालिक मकान ने इस शय में इज़ाफ़ा कर दिया जो किराये पर थी मस्लन एक मकान था अब उसी किराये में दूसरा मकान भी देदिया, यह भी जाइज़ है। और अगर यतीम या वक्फ़ का मकान है तो उसकी उजरते मिस्ल ली जायेगी। (दुर्रेमुख़्तार, तहतावी)

मसअ्ला.50: दरख़्त ख़रीदा, और चार पाँच बरस तक काटा नहीं, अब यह दरख़्त पहले से बड़ा

और मोटा होगया। मालिक ज़मीन कहता है तुमने इतने दिनों तक दरख़्त छोड़ रखा, इसका किराया अदा करो। इस मुद्दत का किराया नहीं ले सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.51: जिसके ज़िम्मे दैन है उसके मकान को अपने दैन के एवज़ में किराये पर लिया, यह जाइज़ है। और अगर मालिक मकान पर मुस्ताजिर का दैन है कुछ दैन किराये में मुजरा कर दिया और कुछ बाक़ी है और मुद्दते इजारा ख़त्म होगई तो मुस्ताजिर बक़िया दैन में मकान को नहीं रोक सकता। बल्कि बादे ख़त्मे मुद्दत मकान ख़ाली करना होगा। (आलमगीरी)

इजारे की चीज़ में क्या अफ़्आल जाइज़ हैं और क्या नहीं

मसअ्ला.1:– दुकान और मकान को किराये पर देना जाइज़ है अगरचे यह बयान न किया हो कि मुस्ताजिर (किरायेदार) उसमें क्या करेगा क्योंकि यह मशहूर बात है कि मकान रहने के लिये होता है और दुकान में तिजारत के लिये बैठते हैं और यह भी बयान करने की ज़रूरत नहीं कि कौन रहेगा क्योंकि सुकूनत ऐसी चीज़ है कि साकिन के इख़्तिलाफ़ से मुख़्तलिफ़ नहीं होती। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– दुकान या मकान को किराये पर लिया उसमें ख़ुद भी रह सकता है, दूसरे को भी रख सकता है मुफ़्त भी दूसरे को रख सकता है किराये पर भी, अगरचे मालिक मकान या दुकान ने कह दिया हो कि तुम इसमें तन्हा रहना। कपड़ा पहनने के लिए किराये पर लिया तो दूसरे को नहीं पहना सकता इसी तरह हर वह काम कि इस्तेमाल करने वाले के इख़्तिलाफ़ से मुख़्तलिफ़ होता है। वह दूसरे के लिए नहीं हो सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– मकान और दुकान में वह तमाम काम कर सकता है जो आदतन किये जाते हैं उसकी दीवारों में कीलें गाड़ सकता है ज़मीन पर मेख़ और खूंटा गाड़ सकता है नहाना, धोना, वुज़ू करना गुस्ल करना, कपड़े धोना, फींचना, इस्तिन्जा करना, लकड़ियाँ चीरना यह सब कुछ कर सकता है। हाँ अगर लकड़ी चीरने में इमारत कमज़ोर हो यानी बेचने के लिये चीरले, या मकान की छत पर चीरले तो जाइज़ नहीं जब तक मालिक मकान से इजाज़त न लेले। मकान के दरवाज़े पर घोड़ा वग़ैरा जानवर बांध सकता है और मकान के अन्दर नहीं कर सकता कि रहने के कमरों को अस्तबल करदे। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– किरायेदार किराये के मकान या दुकान में लोहार और चक्की वाले को नहीं रख सकता यानी यह लोग उसी मकान में कपड़ा धोयें यह बिग़ैर इजाज़त मालिक दुरुस्त नहीं और किरायेदार ख़ुद भी यह काम बिग़ैर इजाज़त मालिक नहीं कर सकता और अगर इजारे ही में इन चीज़ों का करना तय पागया है तो करना जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार) अगर धोबी मकान में कपड़ा नहीं धोता, बल्कि तालाब से कपड़ा धोकर लाता है और मकान में कल्फ़ देता है, इस्तिरी करता है तो हरज नहीं कि इससे इमारत पर असर नहीं पड़ता।

मसअ्ला.4:– मालिक और किरायेदार में इख़्तिलाफ़ हुआ कि इन चीज़ों को इजारे में करना मशरूत था या नहीं, इसमें मालिक का क़ौल मोअ्तबर है और अगर दोनों ने गवाह पेश किये तो मुस्ताजिर के गवाह मक़बूल और अस्ल इजारे ही में इख़्तिलाफ़ हो जब भी यही सूरत है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– मुस्ताजिर ने एक काम को मुअ्य्यन (ख़ास) किया था कि यह करूँगा अगर उसका मिस्ल या उससे कम दर्जे का फ़ेअ्ल (काम) करे उसकी इजाज़त है मसलन लोहारी के काम के लिये मकान लिया था और उसमें कपड़े धोने का काम करता है अगर दोनों से इमारत का यकसाँ नुक़सान है या कपड़े धोने में कम नुक़सान है, कर सकता है। ऐसा काम किया जिसकी इजाज़त न थी किराया देना होगा और अगर मकान गिर पड़ा तो किराया नहीं बल्कि मकान का तावान देना होगा।(दुर्रेमुख़्तार) मकान का किराया नहीं देना होगा मगर ज़मीन का किराया देना होगा (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.7:– मुस्ताजिर ने मकान या दुकान को किराये पर देदिया अगर इतने ही किराये पर दिया है जितने में ख़ुद लिया था या कम पर, जब तो ख़ैर, और ज़ायद पर दिया है तो जो कुछ ज़्यादा है

उसे सदका करदे हाँ अगर मकान में इस्लाह की हो उसे ठीक ठाक किया हो तो ज़ायद का सदका करना ज़रूरी नहीं या किराये की जिन्स बदल गई मसलन लिया था रूपये पर दिया हो अशरफ़ी पर अब भी ज़्यादती जाइज़ है। झाडू देकर मकान को साफ़ कर लेना यह इस्लाह नहीं है कि ज़्यादती वाली रक़म जाइज़ होजाये इस्लाह से मुराद यह है कि कोई ऐसा काम करे जो इमारत के साथ क़ायम हो मसलन प्लास्तर कराया, या मुन्ढेर बनवाई ख़ुद मालिक मकान को मुस्ताजिर ने मकान किराये पर देदिया क़ब्ज़े के बाद ऐसा किया या क़ब्ज़े से क़ब्ल, यह जाइज़ नहीं बल्कि इजारा ही फ़स्ख़ होजायेगा। (बहर) मगर यह सही है कि इजारा फ़स्ख़ नहीं होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– ज़मीन को ज़राअत के लिये उजरत पर देना जाइज़ है जबकि यह बयान होजाये कि इसमें क्या चीज़ बोई जायेगी या मज़ारेअ् (किसान) से यह कहदे, कि जो तू चाहे बो लिया कर, अगर इन चीज़ों का बयान नहीं होगा तो मुनाज़अत (झगड़ा) होगा क्योंकि ज़मीन कभी ज़राअत (खेती) के लिये ज़राअत पर दी जाती है कभी दूसरे काम के लिये और ज़राअत सब चीज़ों की एक क़िस्म नहीं मगर बयान करने की हाजत न हो बाज़ चीज़ों की ज़राअत ज़मीन के लिये मुफ़ीद होती है और बाज़ की मुज़िर होती है अगर इन चीज़ों को बयान नहीं किया गया तो इजारा फ़ासिद है। मगर जबकि उसने ज़राअत बोदी तो अब भी सही होगया कि काम कर लेने से जो जिहालत पैदा होगई थी जाती रही। और मुस्ताजिर पर उजरत वाजिब होगई। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.9:– ज़राअत के लिये खेत लिया तो आमदो रफ़्त का रास्ता और पानी जहाँ से आता है। और जिस रास्ते से आता है यह सब चीजें मुस्ताजिर को बिग़ैर शर्त भी मिलेंगी क्योंकि यह न हों, तो ज़राअत ही ना'मुमकिन है और खेत बैअ् लिया, तो यह चीज़ें बिग़ैर शर्त दाख़िल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– खेत एक साल के लिए लिया तो साल की दोनों फ़सलें रबी व ख़रीफ़ दोनों इसमें बो सकता है अगर उस वक़्त ज़राअत नहीं हो सकती है लगान वाजिब है वरना नहीं। (दुर्रेमुख़्तार) और वह ज़मीन जो पानी से दूर होने की वजह से ज़राअत के क़ाबिल नहीं उसको या बन्जर ज़मीन को इजारे पर लेना दुरुस्त नहीं। (तहतावी)

मसअ्ला.11:– ज़मीन ज़राअत के लिये इजारे पर दी और ज़राअत को कोई आफ़त पहुँची, मसलन खेत पानी से डूब गया तो जो हिस्सा लगान का आफ़त पहुँचने से पहले का है वह देना होगा और आफ़त पहुँचने के बाद का जो हिस्सा है वह साकित जबकि दूसरी ज़राअत का मौक़ा न रहे और अगर फिर खेत बो सकता है तो लगान साकित नहीं अगरचे खेत न बोया यह उसका अपना क़ुसूर है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– ज़मीन में दूसरे की ज़राअत लगी हुई है और जिसने खेत बोया है जाइज़ तौर पर बोया है मसलन उसके पास खेत आरियत है या उसने इजारे पर लिया है अगरचे यह इजारा फ़ासिद ही हो यह ज़मीन दूसरे को इजारे पर देना जाइज़ नहीं और अगर इजारे पर देदी और फ़सल कटगई और मालिक ज़मीन ने नये मज़ारेअ् (किसान) को ज़मीन देदी यह इजारा जाइज़ है मज़ारेअ् अव्वल से कहा जायेगा खेत काटले फिर यह खेत मज़ारेअ् दोम को देदिया जाये तीसरी सूरत यह है कि इजारे को ज़मान–ए–मुस्तक़बिल की तरफ़ मुज़ाफ़ किया मसलन फ़ुलाँ महीने से यह खेत तुमको इतने लगान पर दिया जबकि मा'लूम हो कि उस वक़्त तक खेत ख़ाली होजायेगा मसलन बैसाख से या जेठ से, यह सूरत मुतलक़न जाइज़ है। मुज़ारेअ् अव्वल ने जाइज़ तौर पर बोया हो या ना'जाइज़ तौर पर चौथी सूरत यह है कि इस खेत को बोने वाले ने ना'जाइज़ तौर पर बोया हो। मालिक ने दूसरे को इजारे पर देदिया यह इजारा जाइज़ है क्योंकि मुज़ारेअ् को यह खेत देदेना मुम्किन है जिसने बोया है उसको मजबूर किया जायेगा कि अपनी ज़राअत फ़ौरन काटले तैयार हो, या न हो। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.13:– मकान इजारे पर दिया कुछ ख़ाली है कुछ मशग़ूल है इजारा सही है मगर जो हिस्सा मशग़ूल है उसकी निस्बत कहा जायेगा कि ख़ाली करके मुस्ताजिर के हवाले करदे और अगर ख़ाली करने में ज़रर (नुकसान) हो जिस तरह खेत इजारे पर दिया है उसके कुछ हिस्से में

ज़राअ़त है जो अभी तैयार नहीं है तो उसको ख़ाली करने का हुक्म नहीं दिया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.14:– मकान जिसमें कोई रहता हो वह दूसरे को किराये पर देना जाइज़ है जबकि रहने वाला किराये पर न हो और मालिक मकान के ज़िम्मे मकान ख़ाली कराकर किरायेदार को देना है। और किराये की मुद्दत उस वक़्त में शुमार होगी जब से उसके क़ब्ज़े में आया है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.15:– ज़मीन को मकान बनाने या पेड़ लगाने या ज़राअ़त करने और उन तमाम मुनाफ़े के लिये इजारे पर दे सकते हैं जो हासिल किये जा सकते हैं मस्लन मिट्टी का बर्तन बनाने या ईंट और ठिकरे बनाने जानवरों को दोपहर में या रात में वहाँ ठहराने के लिये लेना यह सब इजारे जाइज़ हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– ज़मीन मकान बनाने के लिये, या दरख़्त लगाने के लिये, उजरत पर ली और मुद्दत पूरी होगई अपनी इमारत का मल्बा उठाले, और दरख़्त काटकर ख़ाली ज़मीन मालिक को सिपुर्द करदे क्योंकि इन दोनों चीज़ों की कोई इन्तिहा नहीं कि मुद्दत में इज़ाफ़ा किया जाये और यह भी होसकता है कि इस इमारत को तोड़ने के बाद मल्बे की जो क़ीमत हो या दरख़्त काटने के बाद उसकी जो क़ीमत हो मालिक ज़मीन उस शख़्स को देदे और यह अपना मकान या दरख़्त मालिक ज़मीन के लिए छोड़दे और यह भी होसकता है कि इमारत और दरख़्त जिसके हैं उसी की मिल्क पर बाक़ी रहें यानी मालिक ज़मीन उसको इजाज़त देदे कि तुम अपनी इमारत और दरख़्त रखो, ज़मीन का मैं मालिक और इन चीजों के तुम मालिक, इसकी दो सूरतें हैं अगर इन चीज़ों के छोड़ने की कोई उजरत है तो वह इजारा है वरना इआ़रा (उधार लेना) है। मकान वाला और मालिक ज़मीन तीसरे को इजारे पर दे सकते हैं और इस तीसरे से जो कुछ किराया मिलेगा वह ज़मीन व मकान पर तक़सीम होगा यानी ज़मीन बिग़ैर मकान की क़ीमत क्या है और सिर्फ़ मकान की बिग़ैर ज़मीन क्या क़ीमत है इन दोनों में जो निस्बत हो उसी से दोनो उजरत तक़सीम करलें। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– ज़मीन वक़्फ़ को उजरत पर लिया, और इसमें दरख़्त लगाये या मकान बनाया, और मुद्दते इजारा ख़त्म होगई। मुस्ताजिर उजरते मिस्ल के साथ ज़मीन को रख सकता है जबकि उसमें वक़्फ़ का ज़रर न हो। जिन लोगों पर वह जायदाद वक़्फ़ है वह यह कहते हैं कि मकान का मल्बा उठा लिया जाये इसके सिवा दूसरी बात पर राज़ी नहीं होते उनकी नाराज़ी का लिहाज़ नहीं किया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.18:– सब्ज़ी के छोटे छोटे दरख़्त जो इसी लिए लगाये जाते हैं कि उनके पत्ते या फूल से इन्तिफ़ाअ् हासिल (फ़ायदा हासिल) किया जायेगा और दरख़्त बाक़ी रहेगा जैसे गुलाब चमेली और तरह तरह के फूल के दरख़्त इन तमाम सब्ज़ियों का वही हुक्म है जो दरख़्त का है और अगर दरख़्त की कुछ मुद्दत है जैसे मौसमी फूल कि बोये जाते है और कुछ ज़माने बाद फूल कर ख़त्म होजाते हैं या वह सब्ज़ियां जो जड़ ही से उखाड़ली जाती हैं जैसे गाजर, मूली, शलजम, गोभी या फूल फल से नफ़ा उठाते हैं मगर उसका ज़माना महदूद है जैसे बैंगन, मिर्चें यह सब चीज़ें ज़राअ़त के हुक्म में हैं कि अगर इजारे की मुद्दत ख़त्म होगई और इनकी फ़स्ल ख़त्म नहीं हुई तो ज़मीन उस वक़्त तक के लिये उजरते मिस्ल पर किराये पर ली जाये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.19:– मुवाजिर (उजरत पर देने वाला) व मुस्ताजिर (उजरत पर लेने वाला) में से कोई मरगया और इजारा फ़स्ख़ होगया मगर अभी तक ज़राअ़त तैयार नहीं है कि काटी जाये तो पकने और तैयार होने तक खेत में रहेगी और जो उजरत मुक़र्रर हुई थी वही दी जायेगी और अगर मुद्दत मुक़र्ररा ख़त्म होगई मगर ज़राअ़त तैयार नहीं हुई तो अब जितने दिनों खेत में रखने की ज़रूरत हो उसकी उजरते मिस्ल दी जायेगी मुस्तईर (उधार लेने वाले) ने खेत आ़रियत लेकर बोया था और मुईर या मुस्तईर दोनों में से कोई मरगया तो तैयारी तक ज़राअ़त खेत में रहेगी और उजरते मिस्ल दी जायेगी, उजरते मिस्ल पर ज़राअ़त को खेत में रहने देने का यह मतलब है कि क़ाज़ी ने ऐसा हुक्म दिया हो या ख़ुद उन दोनों ने इस पर रज़ा'मन्दी करली हो और अगर यह दोनों बातें न हों। यानी लेने देने का दोनों में कोई तज़किरा ही नहीं हुआ यहाँ तक कि फ़स्ल तैयार होगई तो कोई उजरत नहीं मिलेगी। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.20:– ज़मीन ग़सब करके, उसमें ज़राअ़त बोई, इसके लिए कोई मुद्दत नहीं दी जा सकती न उजरत पर, न बिग़ैर उजरत, बल्कि यह हुक्म दिया जायेगा कि फ़ौरन ज़राअ़त काटकर खेत ख़ाली करदे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.21:– चौपाये, ऊँट, घोड़ा, गधा, ख़च्चर, बैल, भैंसा इन जानवरों को किराये पर लेसकते हैं ख़्वाह सवारी के लिए किराये पर लें या बोझ लादने के लिये, इस लिये घोड़े को किराये पर नहीं ले सकता कि इन्हें कोतल (दिखावे के लिये) रखे या इन जानवरों को अपने दरवाज़े पर बाँध रखे ताकि लोगों को मालूम हो कि इसके यहाँ इतने जानवर हैं। कपड़े को पहनने के लिये किराये पर ले सकता है अपनी दुकान या मकान सजाने के लिये नहीं लेसकता। मकान को इस लिये किराये पर नहीं लेसकता कि उसमें नमाज़ पढ़ेगा। खुश्बू को इस लिये किराये पर लिया कि उसे सूँघेगा, क़ुर्आन मजीद या किताब को पढ़ने के लिये किराये पर लिया, यह ना'जाइज़ है। यूँही शोअ़्रा के दीवान और क़िस्से की किताबें पढ़ने के लिये उजरत पर लेना ना'जाइज़ है। (बह्र, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.22:– सवारी के लिये जानवर किराये पर लिया और मालिक ने कह दिया जिसको चाहो सवार करो तो मुस्ताजिर को इख़्तियार है कि खुद सवार हो या दूसरे को सवार कराये जो सवार हुआ वही मुतअ़य्यन होगया अब दूसरा सवार नहीं होसकता और अगर फ़क़त इतना ही कहा है कि सवारी के लिये जानवर किराये पर लिया, न सवार होने वाले की ताईन (ख़ास किया) है न तामीम (आम करना) तो इजारा फ़ासिद है यानी सवारी और कपड़े में यह ज़रूर है कि सवार और पहनने वाले को मोअ़य्यन (ख़ास) करदिया जाये या तामीम (आम) करदी जाये कि जिसको चाहो सवार करो, जिसको चाहो कपड़ा पहनादो और यह न हुआ तो इजारा फ़ासिद है मगर अगर कोई सवार होगया यानी खुद वह सवार हुआ या दूसरे को सवार कर दिया, या खुद कपड़े को पहना, या दूसरे को पहना दिया तो अब वह इजारा सही होगया। (बह्र, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.23:– सवारी में मोअ़य्यन (ख़ास) कर दिया था कि फ़ुलाँ शख़्स सवार होगा और कपड़े में मोअ़य्यन (ख़ास) कर दिया था कि फ़ुलाँ पहनेगा मगर इनके सिवा कोई दूसरा शख़्स सवार हुआ या दूसरे ने कपड़ा पहना अगर जानवर हलाक होगया या कपड़ा फट गया तो मुस्ताजिर को तावान देना होगा और इस सूरत में उजरत कुछ नहीं है और अगर जानवर और कपड़ा ज़ाइअ़ व हलाक (बर्बाद) न हों तो न उजरत मिलेगी न तावान और अगर दुकान को किराये पर दिया था किरायेदार ने उसमें लोहार को बिठा दिया अगर दुकान गिरजाये तावान देना होगा और दुकान सालिम रही तो किराया वाजिब होगा। (बह्र, दुर्रे मुख़्तार)

मसअ्ला.24:– तमाम वह चीज़ें जो इस्तेमाल करने वालों के इख़्तिलाफ़ से मुख़्तलिफ़ हों सबका यही हुक्म है कि बयान करना ज़रूरी है कि कौन इस्तेमाल करेगा जैसे ख़ेमा कि इसे कौन नसब करेगा और किस जगह नसब किया जायेगा और इसकी मेख़ें कौन गाढ़ेगा इन बातों में हालात मुख़्तलिफ़ हैं। (दुर्रेमुख़्तार, तहतावी)

मसअ्ला.25:– ख़ेमे की तनाबें मालिक के ज़िम्मे हैं जिसने किराये पर दिया है और उसकी मेख़ें मुस्ताजिर यानी किरायेदार के ज़िम्मे हैं। (तहतावी)

मसअ्ला.26:– छूलदारी (छोटासा डेरा) या ख़ेमा धूप या वर्षा में बिग़ैर इजाज़त मालिक नसब किया और ख़राब होगया तावान देना होगा और इस सूरत में उजरत नहीं और अगर सलामत है तो उजरत वाजिब होगी। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.27:– ख़ेमे के साये में दूसरे लोग भी आराम ले सकते हैं मालिक यह नहीं कह सकता कि तुमने दूसरे को उसके नीचे क्यों बैठने दिया। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.28:– ख़ेमे की रस्सियाँ या चोबें टूट गईं कि नसब नहीं होसका, किराया वाजिब न हुआ।

मसअ्ला.29:– जिन चीज़ों के इस्तेमाल में इख़्तिलाफ़ न हो उनमें यह क़ैद लगाना कि फ़ुलाँ शख़्स

इस्तेमाल करे, बेकार है जिसको मुतअय्यन कर दिया है वह भी इस्तेमाल कर सकता है मस्लन मकान में यह शर्त लगाना कि इसमें तुम ख़ुद रहना, दूसरे को न रहने देना या तुम तन्हा रहना यह शर्तें बातिल हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.30:– अगर इजारे में एक नौअ् (क़िस्म) या किसी ख़ास मिक्दार की कैद लगाई है उसकी मिस्ल या उससे मुफ़ीद, इस्तेमाल जाइज़ है और उससे मुज़िर (नुकसान करने वाले) की इजाज़त नहीं मस्लन एक बोरी गेहूँ लादने के लिये जानवर को किराये पर लिया एक बोरी से कम गेहूँ या बोरी जो लादना जाइज़ है कि यह इससे ज़्यादा आसान और हल्का है और एक बोरी नमक लादना जाइज़ नहीं कि नमक गेहूँ से ज़्यादा वज़नी होता है इस बाब में क़ायदा कुल्लिया यह है कि अक़्द (तय करने) के ज़रिये जब किसी मनफ़अत का इस्तेहक़ाक़ (नफ़ा लेने का हक़) हो तो वह या उसकी मिस्ल, या उससे कम दर्जे का करना जाइज़ है और ज़्यादा हासिल करना जाइज़ नहीं मस्लन एक मन गेहूँ लादने की इजाज़त है तो एक मन जौ लाद सकता है और एक मन रुई, या लोहा या पत्थर या लकड़ी नहीं लाद सकता या एक मन रुई लादने के लिये किराये पर लिया और एक मन गेहूँ लादा, यह भी जाइज़ नहीं। (बहर)

मसअ्ला.31:– जानवर सवारी के लिये किराये पर लिया उसपर ख़ुद सवार हुआ और एक दूसरे शख़्स को अपने पीछे बिठा लिया अगर दूसरा ऐसा है कि अपने आप सवारी पर रुक सकता है और जानवर हलाक होगया तो निस्फ़ क़ीमत तावान दे इसमें यह लिहाज़ नहीं किया जायेगा कि उसके सवार होने से कितना बोझ ज़्यादा हुआ और यह नहीं कहा जायेगा कि क़ीमत को दोनों के वज़न पर तक़सीम करके दूसरे के वज़न के मुक़ाबिल में क़ीमत का जो हिस्सा आये वह तावान में मुतलक़न वाजिब होगी और अगर उस शख़्स ने अपने पीछे बच्चे को बिठा लिया है जो ख़ुद उस पर रूक नहीं सकता और जानवर हलाक होगया तो तावान सिर्फ़ इतना होगा जितना उसके सवार करने से वज़न में इज़ाफ़ा हुआ यह तफ़सील इस सूरत में है कि जानवर दोनों को उठा सकता हो और अगर जानवर में इतनी ताक़त न हो कि दोनों को उठा सके तो हर सूरत में पूरी क़ीमत का तावान देना होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.32:– घोड़े की गर्दन पर दूसरा आदमी बैठगया और जानवर हलाक होगया तो पूरी क़ीमत का तावान दे और अगर जानवर पर ख़ुद सवार हुआ ओर कोई चीज़ भी लादली, अगरचे यह चीज़ मालिक ही की हो जबकि उसकी इजाज़त से न लादी हो और जानवर हलाक होगया तो वज़न में जितना इज़ाफ़ा हो उसका तावान दे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.33:– इस सूरत में अपने पीछे दूसरे को सवार किया अगर वह जानवर मन्ज़िले मक़सूद पर पहुँचकर हलाक हुआ तो सिर्फ़ उजरत ही देनी होगी फिर ज़मान की सब सूरतों में मालिक को इख़्तियार है कि मुस्ताजिर से ज़मान ले या उससे जो उसके साथ सवार हुआ है अगर मुस्ताजिर से लिया तो वह अपने साथी से रुजूअ् नहीं कर सकता और दूसरे से लिया तो दो सूरतें हैं अगर मुस्ताजिर ने उसको किराये पर सवार किया है तो यह मुस्ताजिर से रुजूअ् कर सकता है और मुफ़्त बिठाया है तो नहीं। (बहर, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.34:– जानवर को बोझ लादने के लिये किराये पर लिया और जितना लादना ठहरा था उससे ज़्यादा लाद दिया तो जितना ज़्यादा लादा है उसका तावान दे मस्लन दो मन ठहरा था उसने तीन मन लाद दियां जानवर की एक तिहाई क़ीमत तावान दे यह उस सूरत में है कि उसने ख़ुद लादा हो और अगर जानवर के मालिक ने ज़्यादा लादा, तो तावान नहीं और अगर दोनों ने मिलकर लादा, तो निस्फ़ तावान यह दे और निस्फ़ जो मालिक के फ़ेअ्ल के मुक़ाबिल में है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.35:– मक्का मुअ़ज़्ज़मा और मदीना तय्यिबा के ऊँट किराये पर ले जाते हैं उन पर उमूमन दो शख़्स सवार होते हैं और अपना सामान भी लादते हैं उसके मुताल्लिक़ यह हुक्म है कि इतना ही

सामान लादें जो मुतआरफ़ है उससे ज़्यादा न लादें और उसमें भी बेहतर यह है कि अपना पूरा सामान हम्माल को दिखादें। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.36:– जानवर के मालिक को यह हक़ नहीं कि जानवर को किराये पर देने के बाद मुस्ताजिर के साथ कुछ अपना सामान भी लाद दे मगर उसने अपना सामान रख दिया है लिहाज़ा किराये से उसकी मिक़दार कम की जाये और मकान में यह सूरत हो कि मालिक मकान ने एक हिस्सा मकान में अपना सामान रखा तो पूरे किराये से उस हिस्से के किराये की कमी करदी जाये (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.37:– हल जोतने के लिये बैल किराये पर लिया एक बीघा जोतना ठहरा था उसने डेढ़ बीघा जोत लिया, और बैल हलाक होगया पूरी क़ीमत तावान देना होगा यूँही चक्की चलाने के लिये बैल किराये पर लिया जितने मन पीसना क़रार पाया, उससे ज़्यादा पीसा, और बैल हलाक हुआ पूरी क़ीमत तावान देना होगा इन दोनों सूरतों में सिर्फ़ ज़्यादती के मुक़ाबिल में तावान नहीं बल्कि पूरा तावान है। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.38:– सवारी के जानवर को मारने और ज़ोर ज़ोर से लगाम खींने की इजाज़त नहीं ऐसा करेगा तो ज़मान देना पड़ेगा ख़ुसूसन जानवर के चेहरे पर मारने से बहुत बचने की ज़रूरत है कि चेहरे पर मारने की मुमानअ़त है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार) जब जानवर का यह हुक्म है कि उसके चेहरे पर न मारा जाये तो इन्सान के चेहरे पर मारना बदर्जे ऊला ममनूअ़ होगा।

मसअ्ला.39:– घोड़े को किराये पर लिया कि ज़ीन कसकर सवार होगा तो नंगी पीठ पर सवार नहीं होसकता और न उस पर कोई सामान लाद सकता है और उसकी पीठ पर लेट नहीं सकता बल्कि इस तरह सवार होना होगा जिस तरह आदतन सवार होने का क़ायदा है। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.40:– एक शख़्स ने किसी जगह ग़ल्ला पहुँचाने के लिये अजीर किया और रास्ता मुतअ़य्यन करदिया कि इस रास्ते से लेजाना, अजीर दूसरे रास्ते से लेगया अगर दोनों रास्ते यक्साँ (एक तरह) हैं यानी दोनों की मसाफ़त में भी फ़र्क़ नहीं है और दोनों पुर अमन हैं तो जिस रास्ते से चाहे लेजाये और अगर दूसरा पुर ख़तर है या जिसकी मसाफ़त (दूरी) ज़्यादा है तो लेजाने वाला ज़ामिन है यूँही अगर जानवर किराये पर लिया और जानवर के मालिक ने रास्ता मुतअ़य्यन कर दिया है इसमें भी दोनों सूरतें हैं और अगर ग़ल्ला के मालिक ने अजीर से ख़ुश्की के रास्ता से लेजाने को कह दिया था वह दरयाई रास्ता से लेगया तो ज़ामिन है और अगर ख़ुश्की का रास्ता मोअ़य्यन नहीं किया और दरियाई रास्ते से लेगया तो ज़ामिन नहीं और मन्ज़िले मक़सूद तक अजीर ने सामान पहुँचा दिया तो उजरत का मुस्तहिक़ है। (हिदाया, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.41:– गेहूँ बोने के लिये ज़मीन इजारे पर ली उसमें तरकारियाँ बोदीं जिससे ज़मीन ख़राब होगई इसके मुताल्लिक़ मुतक़द्देमीन (पहले के उ़लमा) ने यह हुक्म दिया है कि यह शख़्स ग़ासिब है उसके फ़ेअ़्ल से ज़मीन में जो नुक़सान हुआ है इसका तावान दे और ज़मीन की जो कुछ उजरत क़रार पाई थी, नहीं ली जायेगी मगर मुताख़ेरीन (बाद के उ़लमा) यह फ़रमाते हैं कि ज़मीन वक़्फ़ और ज़मीन यतीम में और वह ज़मीन जो मुनाफ़ा हासिल करने के लिये है जैसे ज़मीनदारों के यहाँ उ़मूमन ज़मीन इसी लिए होती है कि काश्तकारों को लगान पर दी जाये उनमें उजरते मिस्ल ली जायेगी और अगर काश्तकार ने वह बोया जिसमें ज़रर (नुक़सान) कम है मस्लन तरकारी (सब्ज़ी) बोने के लिये ज़मीन ली थी और गेहूँ बोये तो इस सूरत में जो लगान क़रार पाया है वह दे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.42:– दर्ज़ी को अचकन सीने के लिए कपड़ा दिया उसने कुर्ता सी दिया, दर्ज़ी से अपने कपड़े की क़ीमत लेले और वह सिला हुआ कपड़ा उसी के पास छोड़दे और कपड़े वाले को इख़्तियार है कि कुर्ता लेले और उसकी वाजिबी सिलाई देदे मगर यह उजरते मिस्ल अगर उससे ज़्यादा है जो मुक़र्रर हुई थी तो वही देगा, जो मुक़र्रर हुई यही हुक्म उस सूरत में है कि कुर्ता सीने को कहा था उसने पाजामा सी दिया। (बहर)

मसअ्ला.43:– दर्ज़ी से कहदिया कि इतना लम्बा और इतना चौड़ा होगा और इतनी आस्तीन होगी मगर सीकर लाया, तो इससे कम है जितना बताया, अगर आध उंगल कम है मुआफ़ है और ज़्यादा कम है तो उसे तावान देना पड़ेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.44:– दर्ज़ी से कहा कि इस कपड़े में मेरी क़मीस़ होजाये तो इसे क़त़ा करके इतने में सी दो उसने कपड़ा काट दिया अब कहता है कि इसमें तुम्हारी क़मीस़ नहीं होगी दर्ज़ी को तावान देना होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.45:– दर्ज़ी से पूछा इसमें मेरी क़मीस़ होजायेगी उसने कहा हाँ, उसने कहा क़त़ा करदो क़त़ा करने के बा़द दर्ज़ी कहता है क़मीस़ नहीं होगी इस सूरत में दर्ज़ी पर तावान नहीं कि मालिक की इजाज़त से उसने काटा और उसकी इजाज़त में यह शर्त़ भी नहीं है कि क़मीस़ होसके तब क़त़ा करो और अगर इस सूरते मज़कूरा में दर्ज़ी के हाँ कहने के बा़द मालिक ने यूँ कहा होता कि तो काटदो या तो अब क़त़ा करदो तो बेशक दर्ज़ी के ज़िम्मे तावान है कि इस लफ़्ज़ (तो) के ज़्यादा करने से यह बात समझ में आई कि क़त़ा करने की इजाज़त इस शर्त़ से है कि क़मीस़ होजाये(बहर)

मसअ्ला.46:– रंगरेज को सुर्ख़ रंगने के लिये कपड़ा दिया उसने ज़र्द रंग दिया मालिक को इख़्तियार है उससे सफ़ेद कपड़े की क़ीमत ले, या वही कपड़ा लेले और रंग की वजह से जो कुछ ज़्यादती हुई है वह देदे और इस सूरत में रंगने की उजरत नहीं मिलेगी और अगर वही रंग रंगा जिसको उसने कहा था मगर ख़राब करदिया तो सफ़ेद कपड़े की क़ीमत तावान दे। (बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.47:– मोहर'कुन को अँगूठी दी कि इस पर मेरा नाम खोददो, उसने दूसरा नाम खोद दिया। मालिक को इख़्तियार है अँगूठी का तावान ले या वह अँगूठी लेले और खुदवाई की उजरते मिस्ल देदे जो त़य शुदा उजरत से ज़्यादा न हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.48:– बढ़ई को दरवाज़ा नक़्श करने के लिये दिया जैसा नक़्श बताया, वैसा नहीं किया अगर थोड़ा फ़र्क़ है तो कुछ नहीं और ज़्यादा फ़र्क़ है तो मालिक को इख़्तियार है अपने दरवाज़े की क़ीमत उससे लेले या वह दरवाज़ा लेकर उजरते मिस्ल देदे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.49:– सवारी के लिए जानवर किराये पर लिया उसे खड़ा करके नमाज़ पढ़ने लगा, वह जानवर भाग गया या कोई लेगया उसने जाते या ले जाते देखा, उसने नमाज़ नहीं तोड़ी, ज़मान देना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.50:– किराये की सवारी पर जा रहा था रास्ते में ख़बर मिली कि इस रास्ते में चोर डाकू हैं ब'वजूद इसके यह इसी रास्ते से गया चोरों ने वह जानवर छीन लिया अगर ब'वजूद इस ख़बर के लोग इस रास्ते से जा रहे थे तो ज़ामिन नहीं वरना ज़ामिन है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.51:– जिस जगह के लिये जानवर किराये पर लिया था वहाँ से आगे लेगया और जानवर हलाक होगया तावान देना होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.52:– किसी शख़्स़ को अपनी दुकान पर काम करने के लिये रखा, या किसी बाज़ारी आदमी को कोई चीज़ बेचने के लिए दी यह उजरत मांगते हैं तो वहाँ का जो उ़र्फ़ हो उसके मुवाफ़िक़ किया जाये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.53:– अपने लड़के को कारीगर के पास काम सिखाने के लिये बिठा दिया और शर्त़ करली, माहवार इतना दिया करेगा यह जाइज़ है और अगर कुछ त़य नहीं हुआ जब लड़का काम सीख गया तो उस्ताद अपनी उजरत माँगता है और लड़के का बाप यह कहता है, तुम्हारे यहाँ लड़के ने इतने दिनों काम किया, उसकी उजरत दो इसके मुताल्लिक़ वहाँ का उ़र्फ़ देखा जायेगा अगर उ़र्फ़ यह है कि उस्ताद को उजरत दीजाये तो उसको उजरते मिस्ल दीजाये और अगर उ़र्फ़ यह है कि उस्ताद उन बच्चों को दिया करते हैं जो उनके यहाँ काम सीखते हैं तो उस्ताद दे(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.54:– किराया वाला सामान लादकर लिए जा रहा था कि रास्ते में उसे लोगों ने डराया

कि इधर जाने में ख़तरा है वहाँ से उसे मज़दूरी नहीं मिलेगी बल्कि उसको पहुँचाने पर मजबूर किया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.55:– बार बर्दारी के जानवर को किराये पर लिया था और जानवर बीमार होगया उस वजह से इतना बोझ नहीं लादा, जितना लादना क़रार पाया था बल्कि उससे कम लादा, इस वजह से उजरत में कमी नहीं होगी बल्कि जितनी ठहरी थी देनी होगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.56:– मकान किराये पर लिया था उसमें से कुछ हिस्सा गिरगया अगर अब भी क़ाबिले सुकूनत है इजारे को फ़स्ख़ नहीं कर सकता और अगर क़ाबिले सुकूनत न रहा फ़स्ख़ कर सकता है मगर फ़स्ख़ नहीं किया तो किराया देना होगा और इजारा फ़स्ख़ करने के लिये ज़रूरी है कि मालिक के सामने फ़स्ख़ करे। और अगर मकान बिल्कुल गिरगया है तो उसकी अ़दम मौजूदगी में भी फ़स्ख़ कर सकता है मगर बिग़ैर फ़स्ख़ किये, अपने आप फ़स्ख़ नहीं होगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.57:– मकान गिरगया था और फ़स्ख़ करने से पहले मालिक मकान ने वैसा ही बना दिया। तो मुस्ताजिर को फ़स्ख़ करने का इख़्तियार बाक़ी न रहा। और अगर वैसा नहीं बनाया, बल्कि कम दर्जे का बनाया तो अब फ़स्ख़ करने का इख़्तियार बाक़ी है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.58:– जो चीज़ उजरत पर ली, और मा़लूम है कि कुछ दिन साल ऐसे भी हैं कि चीज़ बेकार रहेगी। मस्लन ह़म्माम को किराये पर लिया जो गर्मियों में चालू नहीं रहेगा। उसमें यह शर्त करदी, कि साल में दो माह का किराया नहीं होगा इस शर्त से किराया फ़ासिद होजायेगा और अगर यह शर्त की कि जितने दिनों बेकार रहेगा उसका किराया नहीं दिया जायेगा तो इजारा स़ह़ीह़ है। और शर्त भी स़ह़ीह़। (दुर्रेमुख़्तार)

दाया के इजारे का बयान

मसअ्ला.1:– दाया या़नी दूध पिलाने वाली को उजरत पर रखना जाइज़ है और इसके लिए वक़्त मुक़र्रर करना भी ज़रूरी होगा या़नी इतने दिनों के लिये इजारा है और दाया से खाने कपड़े पर इजारा किया जा सकता है या़नी उससे कहा कि खाना कपड़ा लिया कर, और बच्चे को दूध पिला। और इस सूरत में मुतवस्सित़ दर्जे (दरम्यानी दर्जे) का खाना देना होगा और कपड़े की मिक़दार व जिन्स व सिफ़त बयान करनी होगी कि कब दिया जायेगा इस सूरत में अगरचे जिहालत है मगर यह जिहालत बाइसे निज़ाअ् नहीं क्योंकि बच्चे पर शफ़क़ते वालिदैन मजबूर करती है कि दाया के खाने कपड़े में कमी न की जाये। (हिदाया)

मसअ्ला.2:– किसी जानवर को दूध पीने के लिये उजरत पर लिया यह ना जाइज़ है यूँही दरख़्त को फल खाने के लिये उजरत पर लिया, यह भी नाजाइज़ है इस सूरत में जितना दूध दूहा, या जितने फल खाये उनकी क़ीमत देनी होगी। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.3:– अगर दाया से यह शर्त़ त़य पागई है कि बच्चे के वालिदैन के घर में वह दूध पिलाये तो यहीं उसको दूध पिलाना होगा अपने घर नहीं ले जा सकती मगर जबकि कोई उ़ज़्र हो मस्लन वह बीमार होगई कि यहाँ नहीं आसकती और अगर यहाँ पिलाने की शर्त़ नहीं है तो वह बच्चे को अपने घर लेजा सकती है उनको यह ह़क़ नहीं कि यहाँ रहने पर उसे मजबूर करें अगर वहाँ का यही उ़र्फ़ है कि दाया बच्चे के बाप के घर दूध पिलाती है या यहीं रहती है तो बिग़ैर शर्त़ भी दाया को इस रिवाज की पाबन्दी करनी होगी। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.4:– दाया का खाना, कपड़ा बच्चे के बाप के ज़िम्मे नहीं है जबकि इजारे में मशरूत़ न हो और मशरूत़ हो तो देना होगा कपड़े का यही हुक्म है। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.5:– दाया का शौहर उससे वत़ी कर सकता है। मुस्तईर उसे इस अन्देशे से मना नहीं कर सकता कि वत़ी से ह़मल रहजाये तो दूध क्योंकर पिलायेगी मगर मुस्ताजिर के घर में नहीं कर सकता बल्कि उसके मकान में बिग़ैर इजाज़त दाख़िल भी नहीं होसकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– दाया के शौहर को मुतलक़न यह हक़ हासिल है कि इस इजारे को फ़स्ख़ करदे। ख़्वाह इस इजारे से उसके शौहर की बदनामी हो मस्लन वह शख़्स इज़्ज़त वाला है और उसकी औरत का दूध पिलाना बाइसे ज़िल्लत है या इस इजारे में उसकी बदनामी न हो क्योंकि इस सूरत में भी शौहर के बाज़ हुक़ूक़ तल्फ़ होते हैं मगर यह ज़रूर है कि इस शख़्स का उस औरत का शौहर होना मालूम व मशहूर हो और अगर महज़ दोनों के इक़रार से ही यह मालूम हुआ है कि यह मियाँ बीवी हैं। इनका निकाह ज़ाहिर न हो तो उसको फ़स्ख़े इजारा का इख़्तियार नहीं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– दाया बीमार होगई कि उसका दूध बच्चे को मुज़िर होगा या वह हामिला होगई कि उसका भी दूध मुज़िर है तो मुस्ताजिर इजारे को फ़स्ख़ कर सकता है बल्कि यह ख़ुद भी इजारे को फ़स्ख़ कर सकती है कि दूध पिलाना उसे भी मुज़िर है यूँही अगर बच्चे के घर वाले इसे ईज़ा देते हों या उसकी आदत दूसरे बच्चे को दूध पिलाने की नहीं है या लोग उसे आर दिलाते हों तो इजारा फ़स्ख़ कर सकती है मगर जबकि वह बच्चा न दूसरी औरत का दूध पीता हो, न ग़िज़ा खा सकता हो तो उसे इजारा फ़स्ख़ करने का इख़्तियार नहीं है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.8:– दाया अगर बदकार औरत है, या बदज़बान है, या चोरी करती है, या बच्चा उसका दूध डाल देता है, या उसकी छाती मुँह में नहीं लेता, या वह लोग सफ़र में जाना चाहते हैं और यह उनके साथ जाने से इन्कार करती है, या बहुत देर तक ग़ायब रहती है इन सब वुजूह (कारणों) से इजारे को फ़स्ख़ कर सकते हैं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.9:– बच्चा मरगया या दाया मरगई इजारा फ़स्ख़ होगया। बाप के मरने से इजारा फ़स्ख़ नहीं होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– दाया के ज़िम्मे यह काम भी हैं बच्चे का हाथ मुँह धुलाना, उसको नहलाना, कपड़े पर पेशाब पाख़ाना लगा हो तो उसे धोना, बच्चे को तेल लगाना और उसको यह भी करना होगा कि ऐसी चीज़ न खाये जिससे बच्चे को ज़रर पहुँचे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– दाया ने बकरी का दूध बच्चे को पिला दिया उसे ग़िज़ा खिलाई, यानी अपना दूध पिलाने की जगह यह किया तो उजरत की मुस्तहिक़ नहीं होगी कि इसका अस्ली काम दूध पिलाना है। (हिदाया)

मसअ्ला.12:– दाया ने अपनी ख़ादिमा से दूध पिलवाया या किसी दूसरी औरत को बच्चे के दूध पिलाने के लिये नौकर रखा, उसने दूध पिलाया, इस सूरत में उजरत की मुस्तहिक़ होगी कि दूसरी औरत का उसके हुक्म से दूध पिलाना गोया उसी का पिलाना है मगर जबकि उसको नौकर रखते वक़्त यह शर्त हो कि ख़ुद तुझी को पिलाना होगा तो दूसरी औरत का नहीं पिलवा सकती और ऐसा करेगी तो उजरत की मुस्तहिक़ नहीं होगी। (दुर्रेमुख़्तार, बहर)

मसअ्ला.13:– एक जगह बच्चे को दूध पिलाने की नौकरी करली उन लोगों की लाइल्मी में उसने दूसरी जगह भी बच्चे को दूध पिलाने की नौकरी करली और दोनों बच्चों को मुद्दत ख़त्म होने तक दूध पिलाती रही उसको ऐसा करना ना'जाइज़ व गुनाह है मगर दोनों जगह से अपनी पूरी उजरत जो मुक़र्रर हुई है लेने की मुस्तहिक़ है यह नहीं होगा कि दोनों निस्फ़ निस्फ़ (आधी आधी) उजरत दें हाँ अगर नाग़े किये हैं तो उन दिनों की उजरत कम की जा सकती है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.14:– एक शख़्स के दो बच्चे हैं दोनों को दूध पिलाने के लिये एक दाया को नौकर रखा, उनमें से एक बच्चा मरगया तो अब से निस्फ़ उजरत की मुस्तहिक़ होगी कि जो बच्चा मरगया उसके हक़ में इजारा भी न रहा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– दाया के ज़िम्मे यह नहीं है कि बच्चे के वालिदैन का काम करे बतौर तबर्रोअ़ व एहसान करदे तो उसकी ख़ुशी, उसके अ़क़्द की वजह से उस पर लाज़िम नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– दाया के अज़ीज़ व अक़ारिब उससे मिलने को आयें तो साहिबे ख़ाना उनको यहाँ

ठहरने से रोक सकता है यूँही अगर बिग़ैर इजाज़त साहिबे ख़ाना उन लोगों को यहाँ का खाना भी नहीं खिला सकती और यह अपने अ़ज़ीज़ के यहाँ जाना चाहती हो तो जाने से मना कर सकते हैं जबकि उसका जाना बच्चे के लिये मुज़िर हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.17:– हाजत के वक़्त दाया यहाँ से वक़्तन फ़'वक़्तन जासकती है मगर देर तक बाहर नहीं रह सकती इससे उसको रोक दिया जायेगा कि यह बच्चे के लिये मुज़िर है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– बच्चे की माँ को उजरत पर दूध पिलाने के लिये मुक़र्रर किया इसकी दो सूरतें हैं। अगर वह निकाह में है तो यह इजारा ना'जाइज़ है और तलाक़ देने के बाद यह इजारा हुआ है और तलाक़ भी रही तो यह इजारा भी ना'जाइज़ और तलाक़े बाइन के बाद इजारा हुआ तो जाइज़ है। और अगर वह बच्चा उसकी दूसरी औ़रत से है तो अपनी इस औ़रत से जो इस बच्चे की माँ नहीं है उजरत पर दूध पिलवा सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.19:– बच्चे की माँ को उजरत पर दूध पिलवाने के लिए रखा उसने किसी से निकाह कर लिया तो इसकी वजह से इजारा फ़स्ख़ नहीं होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.20:– अपने महारिम में से किसी औ़रत को दूध पिलाने के लिये अजीर रखना जाइज़ है मस्लन अपनी माँ या बहन या लड़की को अपने बच्चे के दूध पिलाने के लिए मुक़र्रर किया।(आलमगीरी)

मसअ्ला.21:– कहीं से पड़ा हुआ बच्चा उठा लाया और उसके लिये दाया मुक़र्रर की तो दाया की उजरत ख़ुद उसी पर वाजिब होगी और यह शख़्स मुतबर्रेअ़ है कि उसको रुजूअ़ नहीं करसकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.22:– यतीम बच्चे के लिये माल हो तो रज़ाअ़ (दूध पिलाने) के मसारिफ़ उसके अपने माल से दिये जायेंगे और माल न हो तो जिसके ज़िम्मे उसका नफ़्क़ा हो उसी के ज़िम्मे यह भी हैं और अगर कोई ऐसा शख़्स भी न हो जिसपर उसका नफ़्क़ा वाजिब हो तो बैतुल'माल से दिये जायेंगे(आलम)

मसअ्ला.23:– दाया को सौ रूपये पर एक साल दूध पिलाने के लिये मुक़र्रर किया और यह शर्त करली कि बच्चा इस्ना–ए–साल में मरजायेगा जब भी उसको सौ ही दिये जायेंगे इस शर्त की वजह से इजारा फ़ासिद होगया लिहाज़ा अगर बच्चा मरगया तो जितने दिनों उसने दूध पिलाया है। उसकी उजरते मिस्ल मिलेगी और अगर साल भर के लिये इस शर्त के साथ मुक़र्रर किया कि सिर्फ़ पहले महीने के मुक़ाबिल में यह सौ रूपये हैं और उसके बाद साल की बक़िया मुद्दत में मुफ़्त पिलायेगी यह इजारा भी फ़ासिद है। अगर दो ढाई महीने दूध पिलाने के बाद बच्चा मरगया तो उजरते मिस्ल दीजायेगी जो उस मुक़र्रर शुदा से ज़ाइद न हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.24:– मुसलमान ने बच्चे को दूध पिलाने के लिये किसी काफ़िरा को मुक़र्रर किया जो सहीहुन्नसब न हो यह जाइज़ है यानी इजारा सही है। (आलमगीरी) मगर तजुर्बे से यह अम्र साबित कि दूध का बच्चे में अस्र ज़रूर पैदा होता है और शरअ़ मुतह्हरा ने भी इससे इन्कार नहीं किया है बल्कि दूध की वजह से रिश्ता क़ायम होजाना क़ुर्आन से साबित है और हदीस ने भी बताया है कि रज़ाअ़त से भी वैसा ही रिश्ता पैदा होजाता है जिस तरह नसब से होता है इससे मालूम होता है कि दूध के भी अस्रात होते हैं लिहाज़ा दूध पिलाने के लिये जो औ़रत इख़्तियार की जाये उसके सलाह ो तक़वा का लिहाज़ किया जाये ताकि बच्चे में बद औ़रत के बुरे अस्रात न पैदा हों दूसरा अम्र यह भी क़ाबिले लिहाज़ है कि दाया की सोहबत में बच्चा रहता है और बच्चे की तर्बियत दाया के ज़िम्मे होती है और तर्बियत व सोहबत के बद अस्रात का इन्कार बदीही (रौशन) बात का इन्कार है और बचपन में जो ख़राबियाँ पैदा होजाती हैं उनका ज़ाइल होना निहायत दुशवार होता है लिहाज़ा इनको नज़र अन्दाज़ करना, मुसालेह (मसलेहतों) के ख़िलाफ़ है अगरचे इजारा सही होजायेगा।

मसअ्ला.25:– बच्चे को दूध पिलाने के लिये बकरी को इजारे पर लिया या बकरी का बच्चा है उसको दूध पिलाने के लिये बकरी को इजारे पर लिया, यह ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)

इजारा–ए–फ़ासिदा का बयान

मसअला.1:– अक़्दे फ़ासिद वह है जो अपनी अस्ल के लिहाज़ से मुवाफ़िक़े शरअ़ है। मगर उसमें कोई वस्फ़ ऐसा है जिसकी वजह से ना मशरूअ़ है और अगर अस्ल ही के एअ़तिबार से ख़िलाफ़े शरअ़ है तो वह बातिल है मस्लन मुर्दार या ख़ून को उजरत क़रार दिया या ख़ुश्बू को सूँघने के लिये उजरत पर लिया या बुत बनाने के लिये किसी को अजीर रखा कि इन सब सूरतों में इजारा बातिल है। इजारा फ़ासिदा की मिसाल यह है कि इजारे में कोई ऐसी शर्त की जिसको अक़्दे इजारा मुक़्तज़ी न हो। इसी की सूरतें यहाँ ज़िक्र की जायेंगी। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअला.2:– इजारा बातिल में अगर चीज़ को इस्तेमाल किया और वह काम कर दिया जिसके लिए इजारा हुआ जब भी उजरत वाजिब न होगी। अगरचे वह चीज़ इसी लिए है कि किराये पर दी जाये मगर माले वक़्फ़ और माले यतीम को अगर इजार–ए–बातिला के तौर पर दिया और मुस्ताजिर ने मनफ़अत हासिल करली तो उजरते मिस्ल वाजिब। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअला.3:– इजार–ए–फ़ासिदा का हुक्म यह है कि इसके इस्तेमाल करने पर उजरते मिस्ल लाज़िम होगी और इसमें तीन सूरतें हैं। अगर उजरत मुक़र्रर नहीं हुई या जो मुक़र्रर हुई मालूम नहीं। इन दोनों सूरतों में जो कुछ मिस्ल उजरत हो देनी होगी और अगर उजरत मुक़र्रर हुई और वह भी मालूम है तो उजरते मिस्ल उसी वक़्त दीजायेगी जब वह मुक़र्रर से ज़्यादा न हो और अगर मुक़र्रर से उजरते मिस्ल ज़ाइद है तो जो मुक़र्रर है वही दी जायेगी। (बहर, वग़ैरा)

मसअला.4:– इजार–ए–फ़ासिदा में महज़ क़ब्ज़ा करने से मुनाफ़ा का मालिक नहीं होगा और बैअ़ फ़ासिदा में क़ब्ज़ा करने से बैअ़ का मालिक होजाता है। मुश्तरी (ख़रीदार) के तसर्रुफ़ात क़ब्ज़े के बाद नाफ़िज़ होजाते हैं मुस्ताजिर क़ब्ज़ा करके उसे इजारे पर देदे यह नहीं कर सकता और अगर उसने इजारे पर दे ही दिया तो उजरते मिस्ल लाज़िम होगी यानी मुस्ताजिर अव्वल मालिक को उजरते मिस्ल देगा यह नहीं कहा जायेगा कि वह ग़ासिब है और इन्तिफ़ाअ़ के मुक़ाबिल में उससे उजरत न ली जाये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.5: जो शर्तें मुक़्तज़ा–ए–अक़्द के ख़िलाफ़ हैं उनसे अक़्दे इजारा फ़ासिद होजाता है। लिहाज़ा जो शर्तें बैअ़ को फ़ासिद करती हैं इजारे को भी फ़ासिद करती हैं क्योंकि इजारा भी एक क़िस्म की बैअ़ है फ़र्क़ यह है कि बैअ़ में चीज़ बेची जाती है और इजारे में चीज़ की मनफ़अत बेची जाती है। (बहर)

मसअला.6:– जिहालत से इजारा फ़ासिद होजाता है इसकी चन्द सूरतें हैं जो चीज़ उजरत पर दी जाये वह मजहूल हो या मनफ़अत की मिक़्दार मजहूल हो यानी मुद्दत बयान में नहीं आई। मस्लन मकान कितने दिनों के लिये किराये पर दिया या उजरत मजहूल हो यानी यह नहीं बयान किया गया कि किराया क्या होगा, या काम मजहूल हो, यह नहीं बयान किया गया कि काम क्या लिया जायेगा मस्लन जानवर में यह नहीं बयान किया कि बार'बर्दारी (बोझ ढोने) के लिये या सवारी के लिए। (आलमगीरी)

मसअला.7:– जानवर को किराये पर लिया और यह शर्त है कि इसको दाना घास मुस्ताजिर देगा यह इजार–ए–फ़ासिदा कि जानवर का चारा मालिक के ज़िम्मे है और मुस्ताजिर के ज़िम्मे करना मुक़्तज़ा–ए–अक़्द (अक़्द सहीह होने) के ख़िलाफ़ है यूँही मकान किराये पर दिया और यह शर्त है कि इसकी मरम्मत मुस्ताजिर के ज़िम्मे है, या मकान का टैक्स मुस्ताजिर के ज़िम्मे है, यह इजारा भी फ़ासिद है कि इन चीज़ों का ताल्लुक़ मालिक से है, मुस्ताजिर के ज़िम्मे करना मुक़्तज़ा–ए–अक़्द के ख़िलाफ़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.8:– जो चीज़ इजारे पर दी है वह शाय़ है उससे भी इजारा फ़ासिद होजाता है मस्लन मकान का निस्फ़ हिस्सा किराये पर दिया कि निस्फ़ मकान जुज़्वे शाइअ़ है या एक मकान मुश्तरक है उसने अपना हिस्सा ग़ैर शरीक को किराये पर दिया या मकान में तीन शख़्स शरीक हों उसने अपना हिस्सा एक शरीक को किराये पर दिया यह सब सूरतें ना'जाइज़ हैं और इजारा फ़ासिद है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.9:– अगर इजारे के वक़्त शुयूअ़ न था बाद में आगया तो इससे इजारा फ़ासिद नहीं होगा

मस्लन पूरा मकान इजारे पर दिया था फिर उसके एक जुज़वे शाइअ् में फ़स्ख़ कर दिया इस शुयूअ् से इजारा फ़ासिद नहीं हुआ। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– जो चीज़ उजरत में ज़िक्र की गई वह मजहूल है मस्लन उस काम की उजरत एक कपड़ा है, या उसमें बाज़ मजहूल है मस्लन इतना किराया और मकान की मरम्मत तुम्हारे ज़िम्मे कि इस सूरत में मरम्मत भी किराये में दाख़िल है चूँकि मालूम नहीं मरम्मत में क्या सर्फ़ (ख़र्चा) होगा लिहाज़ा पूरा किराया मजहूल होगया। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– इजारे की मीआ़द अगर पहली तारीख़ से शुरू होती हो तो महीने में एक चाँद का एअ्तिबार होगा यानी दूसरा चाँद होगया, महीना पूरा होगया अगर दरम्यान माह से मुद्दत शुरू होती है तो तीस दिन का महीना लिया जायेगा इसी त़रह़ अगर कई माह के लिये मकान या कोई चीज़ किराये पर ली तो पहली सूरत में चाँद से चाँद तक और दूसरी सूरत में हर महीना तीस दिन का लिया जायेगा बल्कि एक साल के लिये, या कई साल के लिये किराये पर लिया तो पहली सूरत में हिलाल (चांद) के बारह माह और दूसरी सूरत में तीन सौ साठ दिन का साल शुमार होगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– यूँ इजारे पर लिया कि हर माह एक रूपया किराया और यह नहीं ठहरा कि कितने महीनों के लिये किराये पर लेना देना हुआ तो सिर्फ़ पहले महीने का इजारा सह़ी है और बाक़ी महीनों का फ़ासिद। पहला महीना ख़त्म होते ही पहली तारीख़ में हर एक इजारे को फ़स्ख़ कर सकता है और पहली तारीख़ को फ़स्ख़ नहीं किया तो अब इस महीने में ख़ाली नहीं करा सकता और अगर महीनों की तादाद ज़िक्र करदी है मस्लन छः माह के लिये इजारा हुआ तो इजारा सह़ी है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– एक साल के लिये किराये पर मकान लिया और यह ठहरा कि हर माह का एक रूपया किराया है यह जाइज़ है, दोनों सूरतों में अन्दुरूने साल बिला उ़ज़्र कोई भी इजारे को फ़स्ख़ नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– एक दिन के लिये मज़दूर रखा तो किस वक़्त से किस वक़्त तक काम करेगा इसके मुताल्लिक़ वहाँ का उ़र्फ़ देखा जायेगा अगर उ़र्फ़ यह है कि तुलूअ् आफ़ताब से ग़ुरूब तक काम करे, तो इसको भी करना होगा और अगर उ़र्फ़ यह है कि तुलूअ् आफ़ताब से अ़स्र तक काम करे तो यह लिया जायेगा और अगर दोनों क़िस्म का रिवाज है तो ग़ुरूब तक काम करना होगा क्योंकि इजारे में दिन कहा है और दिन ग़ुरूब पर ख़त्म होता है। (आलमगीरी) हिन्दुस्तान में इसके मुताल्लिक़ मुख़्तलिफ़ क़िस्म के उ़र्फ़ हैं। मेअ्मारों के मुताल्लिक़ यह उ़र्फ़ है कि इन्हें बारह बजे से दो बजे तक दो घन्टे की खाने के लिये, और कुछ देर आराम करने की छुट्टी दी जाती है और इसी वक़्त जो इनमें नमाज़ी होते हैं नमाज़ भी पढ़ लेते हैं और शाम को ग़ुरूब आफ़ताब पर या उससे कुछ क़ब्ल काम ख़त्म किया जाता है और सुबह़ को घन्टा पौन घन्टा दिन निकलने के बाद काम शुरू होता है बिल्जुमला मज़दूरों के काम के औक़ात वही होंगे जो वहाँ का उ़र्फ़ है।

मसअ्ला.15:– दो दिन, चार दिन, दस दिन के लिये किसी को काम पर रखा तो वही अय्याम मुराद लिये जायेंगे जो अ़क़्द इजारे से मुत्तसिल (मिले हुए) हैं और अगर दिनों को मुअ़य्यन नहीं किया है कहदिया है कि मस्लन दो दिन का मेरे यहाँ काम है तुम किसी दो दिन में कर देना तो इजारा सह़ी नहीं कि इस इजारे में वक़्त का मुक़र्रर करना ज़रूरी है। (आलमगीरी)

जाइज़ व नाजाइज़ इजारे

मसअ्ला.16:– ह़म्माम की उजरत जाइज़ है अगरचे मुतअ़य्यन नहीं होता कि कितना पानी सर्फ़ करेगा और कितनी देर ह़म्माम में ठहरेगा हाँ अगर ह़म्माम में दूसरों के सामने अपने सतर को खोले, जैसाकि उ़मूमन ह़म्माम में ऐसा होता है या ख़ुद अपना सतर नहीं खोला, दूसरों के सतर पर नज़र पड़ती है इस वजह से ह़म्माम में जाना मना है। ख़ुसूसन औरतों को इसमें जाने से बहुत ज़्यादा एह़तियात चाहिए और अगर न अपना सतर खोले, न दूसरों के सतर की त़रफ़ नजर करे तो ह़म्माम

में जाने की मुमानअत नहीं। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.17:– हजामत यानी पछन्ना लगवाना जाइज़ है और पछन्ने की उजरत देना लेना भी जाइज़ है। पछन्ने लगवाने वाले के लिये वह उजरत हलाल है अगरचे उसको ख़ून निकालना पड़ता है और कभी ख़ून से आलूदा भी होना पड़ता है मगर चूँकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम् ने ख़ुद पछन्ने लगवाये और लगाने वाले को उजरत दी मालूम हुआ इस उजरत में ख़बासत नहीं। (हिदाया)

मसअ्ला.18:– नर जानवर को जुफ़्ती करने के लिये उजरत पर देना ना'जाइज़ है और उजरत लेना भी ना'जाइज़। (हिदाया)

मसअ्ला.19:– गुनाह के काम पर इजारा ना'जाइज़ है मसलन नोहा करने वाली को उजरत पर रखा कि वह नहीं करेगी जिसकी यह मज़दूरी दीजायेगी गाने, बजाने के लिए अजीर किया कि वह इतनी देर गायेगा और इसकी यह उजरत दीजायेगी। मलाही यानी लहव व लइब (खेलकूद) पर इजारा भी नाजाइज़ है। गाना या बाजा सिखाने के लिये नौकर रखते हैं यह भी ना'जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार) इन सूरतों में उजरत लेना भी हराम है और लेली हो वापस करे और मालूम न रहा कि किससे उजरत ली थी तो उसे सदक़ा करदे कि ख़बीस माल का यही हुक्म है। (हिदाया)

मसअ्ला.20:– तब्ले ग़ाज़ी कि इससे लहव मक़सूद नहीं होता जाइज़ है और इसका इजारा भी जाइज़ इसी तरह शादियों में दफ़ बजाने की इजाज़त है जिसमें झांज न हो उसका इजारा भी ना'जाइज़ नहीं। (रद्दुलमोहतार) इस ज़माने में मलाही के इजारात ब'कस्रत पाये जाते हैं जैसे सिनेमा, बॉस्कोप, थियेटर में मुलाज़ेमीन गाने और तमाशे करने के लिये नौकर रखे जाते हैं यह इजारे ना'जाइज़ हैं बल्कि तमाशा देखने वाले अपने तमाशा देखने की उजरत देते हैं यानी उजरत देकर तमाशा कराते हैं यह भी ना'जाइज़ यानी तमाशा देखना या तमाशा करना तो गुनाह का काम है ही, पैसे देकर तमाशे कराना यह एक दूसरा गुनाह है और हराम काम में पैसा सर्फ़ करना है।

मसअ्ला.21:– मुसलमान ने किसी काफ़िर को रहने के लिये मकान किराये पर दिया यह इजारा जाइज़ है कोई हरज नहीं अब इस घर में काफ़िर ने शराब पी, या सलीब की परिस्तश की, यह उस काफ़िर का ज़ाती फ़ेअ्ल है इससे इस मुसलमान पर गुनाह नहीं हाँ अगर इस मकान में काफ़िर ने घन्टा और नाक़ूस बजाया, शंख फूँका, या अलानिया शराब बेचना शुरू किया, तो ज़रूर इन उमूर से रोका जायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.22:– कस्बी औरतों को बाज़ारों में बाला ख़ाने किराये पर देना कि वह उनमें नाच मुजरा करें या ज़िना करायें, यह ना'जाइज़ है।

मसअ्ला.23:– ताअत व इबादत के कामों में इजारा करना जाइज़ नहीं मसलन अज़ान कहने के लिए, इमामत के लिये, कुर्आन व फ़िक़ह की तालीम के लिये, हज के लिये, यानी इस लिये अजीर किया कि किसी की तरफ़ से हज करे मुतक़द्दमीन फ़ुक़्हा का यही मसलक है मगर मुताख़ेरीन ने देखा कि दीन के कामों में सुस्ती पैदा होगई है अगर इस इजारे की सब सूरतों को ना'जाइज़ कहा जाये तो दीन के बहुत से कामों में ख़लल वाक़ेअ् होगा उन्होंने इससे कुल्लिया से बाज़ उमूर का इस्तिस्ना फ़रमा दिया, और यह फ़तवा दिया कि तालीमुल'कुर्आन व फ़िक़ह और अज़ान व इमामत पर इजारा जाइज़ है क्योंकि ऐसा न किया जाये तो कुर्आन व फ़िक़ह के पढ़ाने वाले तलबे मईशत में मशग़ूल होकर इस काम को छोड़ देंगे और लोग दीन की बातों से नावाक़िफ़ होते जायेंगे। इसी तरह अगर मोअज़्ज़िन व इमाम को नौकर न रखा जाये तो बहुत सी मसाजिद में अज़ान व जमाअत का सिलसिला बन्द होजायेगा और इस शिआरे इस्लामी में ज़बरदस्त कमी वाक़ेअ् होजायेगी। इसी तरह बाज़ उलमा ने वाज़ (तक़रीर) पर भी इजारे को जाइज़ कहा है इस ज़माने में अकस्र मक़ामात ऐसे हैं जहाँ एहले इल्म नहीं हैं इधर उधर से कभी कोई आलिम पहुँच जाता है जो वाज़, तक़रीर के

ज़रिये उन्हें दीन की ता'लीम दे देता है। अगर इस इजारे को ना'जाइज़ कर दिया जाये तो अवाम को जो इस ज़रिये से कुछ इल्म की बातें मा'लूम होजाती हैं। उनका इन्सिदाद (रास्ता बन्द) होजायेगा। यहाँ यह बता देना भी ज़रूरी मा'लूम होता है कि जब अस्ल मज़हब यही है कि यह इजारा ना'जाइज़ है एक दीनी ज़रूरत की बिना पर इसके जवाज़ का फ़तवा दिया जाता है तो जिस बन्दा–ए–ख़ुदा से होसके कि इन उमूर को महज़ ख़ालिसन लिवज'हिल्लाह अन्जाम दे और अज्रे उख़रवी का मुस्तहिक़ हो तो इससे बेहतर क्या बात है फिर अगर लोग इसकी ख़िदमत करें बल्कि यह तसव्वुर करते हुए कि दीन की ख़िदमत यह करते हैं हम इनकी ख़िदमत करके स्वाब हासिल करें तो देने वाला मुस्तहिक़े स्वाब होगा और उसको लेना जाइज़ होगा कि यह उजरत नहीं है। बल्कि एआनत व इम्दाद है।

मसअ्ला.24:– फुक़हा–ए–किराम ने इस कुल्लिया से जिन चीज़ों का इस्तिस्ना फ़रमाया और वह मज़कूर हुईं इससे मा'लूम हुआ कि तिलावते कुर्आन पर इजारा जिस तरह क़ुदमा (पहले के उलमा) के नज़्दीक ना'जाइज़ है, मुताख़ेरीन के नज़्दीक भी ना'जाइज़ है लिहाज़ा सोम वग़ैरा के मौक़े पर उजरत पर कुरआन पढ़वाना ना'जाइज़ है देने वाला लेने वाला दोनों गुनाहगार। इसी तरह अकस्र लोग चालीस रोज़ तक क़ब्र के पास या मकान पर ईसाले सवाब कराते हैं अगर उजरत पर हो, यह भी ना'जाइज़ है बल्कि इस सूरत में ईसाले सवाब बेमानी बात है कि जब पढ़ने वाले ने पैसों की ख़ातिर पढ़ा तो स्वाब ही कहाँ जिसे ईसाल किया जाये इसका स्वाब यानी बदला पैसा है जैसाकि हदीस में है कि आमाल जितने हैं नियत के साथ हैं। जब अल्लह के लिये अमल न हो तो सवाब की उम्मीद बेकार है। (रद्दुलमोहतार) मक़सद यह है कि ईसाले स्वाब जाइज़ है बल्कि मुस्तहसन है मगर उजरत पर तिलावते कुरआन मजीद या कलिमा तय्यिबा पढ़वाकर ईसाले सवाब नहीं हो सकता बल्कि पढ़ने वाले अल्लाह तआला के लिये पढ़ें और ईसाले स्वाब करें यह जाइज़ है।

मसअ्ला.25:– ख़त्म पढ़ने के लिये इजारा करना ना'जाइज़ मस्लन कोई आयते करीमा का ख़त्म कराता है, कोई ख़्वाजगान पढ़वाता है, कोई कलिमा–ए–तय्यिबा का ख़त्म कराता है यह सब काम उजरत पर ना'जाइज हैं। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.26:– किसी को साँप या बिच्छू ने काटा हो उसके झाड़ने की उजरत लेना जाइज़ है अगरचे कुर्आन मजीद ही की आयत या सूरत पढ़कर झाड़ना हो कि यह तिलावत नहीं बल्कि इलाज के क़बील से है हदीस में एक सहाबी का सूरह फ़ातिहा पढ़कर दम करना और उसका अच्छा होजाना, और उनका पहले से ही उजरत मुक़र्रर करलेना और उसके अच्छा होने के बाद लेना फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम् के पास मुआमला पेश करना और हुज़ूर का इन्कार न फ़रमाना, बल्कि जाइज़ रखना इसके जवाज़ की सरीह दलील है। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.27:– बहुत लोग तावीज़ का मुआवज़ा लेते हैं यह जाइज़ है इसको इजारे की हद में दाख़िल नहीं किया जा सकता बल्कि बैअ् में शुमार करना चाहिए यानी इतने पैसों या रूपये में अपने तावीज़ को बैअ् करना है मगर यह ज़रूर है कि तावीज़ ऐसा हो कि इसमें शरई क़बाहत न हो जैसे अदईया (दुआयें) और आयात या उनके आदाद या किसी इस्म का नक़्श मुज़हर या मुज़मर लिखा जाये और अगर इस तावीज़ में ना'जाइज़ अल्फ़ाज़ लिखे हों या शिर्क व कुफ़्र के अल्फ़ाज़ पर मुश्तमिल हो तो ऐसा तावीज़ लिखना भी ना'जाइज़ है और इसका लेना, बाँधना सब नाजाइज़ साहिबे दुर्रे मुख़्तार ने रद्दे सहर (जादू दूर करने) के तावीज़ लिखने पर इजारे को जाइज़ फ़रमाया जबकि मिक़दारे काग़ज़ व मिक़दारे तहरीर मा'लूम हों कि इतना काग़ज़ होगा और इसमें इतनी सतरें लिखी जायेंगी। मगर ज़ाहिर यह है कि यह इस सूरत में होगा कि जब लिखवाने वाले ने यह कहा कि फुलाँ चीज़ मुझे लिखदो और यह तरीक़ा तावीज़ लिखने वालों का नहीं है बल्कि नाक़ेलीन का होसकता है क्योंकि काग़ज़ की मिक़दार और तहरीर के लिहाज से अगर उजरत होती, तो तावीज़

के छोटे बड़े होने के एअ्तिबार से उजरत में इख़्तिलाफ़ होता हालाँकि यह नहीं बल्कि अमराज़ और तावीज़ के जूद असर होने के ऐतबार से उनकी क़ीमतों में इख़्तिलाफ़ होता है इसी वजह से पाँच पैसे और पाँच रूपये के तावीज़ में तहरीर व कागज़ की मिक़दार में फ़र्क़ नहीं होता इससे मालूम होता है कि यहाँ इजारा नहीं है अल्बत्ता बैअ् की सूरत में एक ख़राबी यह नज़र आती है कि उमूमन उस वक़्त तावीज़ नहीं होता बाद में लिखा जाता है और मादूम की बैअ् दुरुस्त नहीं इसका जवाब यह है कि जब इसने तावीज़ की फ़रमाइश की, उस वक़्त बैअ् नहीं, बल्कि लिख लेने के बाद बतौर तआती बैअ् होगी और यह जाइज़ है।

मसअ्ला.28:– तालीम पर जब उजरत लेना जाइज़ है तो जो उजरत मुक़र्रर हुई, मुस्ताजिर को देनी होगी और उससे जबरन वसूल की जायेगी और अगर इजारा फ़ासिद हो, मस्लन मुद्दत मुक़र्रर नहीं की, तो उजरते मिस्ल वाजिब होगी इसी तरह बाज़ सूरतों के ख़त्म या शुरू पर जो मिठाई दी जाती है जिसका वहाँ उर्फ़ है वह भी देनी होगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.29:– लुगत व नहव व सर्फ़, अदब वग़ैरहा उलूम जिनका ताल्लुक़ ज़ुबान से है उनकी तालीम पर उजरत लेना बिल्इजमा जाइज़ है इसी तरह क़वाइदे बग़दादी पढ़ाने या हिज्जा कराने की उजरत भी जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.30:– इल्मे तिब और रियाज़ी व हिसाब और किताबत या ख़ुश्नवीसी सिखाने पर नौकर रखना जाइज़ है, मन्तिक़ की तालीम भी जाइज़ है कि फ़ी नफ़्सेही मन्तिक़ में दीन के ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं इसी वजह से मुताख़ेरीन मुतकल्लेमीन और उसूले फ़ुक़हा में भी मन्तिक़ के मसाइल को बतौर मबादी ज़िक्र करते हैं अल्बत्ता फ़लसफ़ा दीने इस्लाम के बिल्कुल मुख़ालिफ़ है मगर उसको इस लिये पढ़ना, ताकि फ़लासिफ़ा के ख़्यालात मालूम हों और उनके इस्तिदलाल का रदद किया जाये, जाइज़ है। इसी तरह दीगर कुफ़्फ़ार के उसूल व फ़ुरूअ् को जानना, ताकि उनके मज़ाहिबे बातिला का इब्ताल (रद्द) किया जाये, जाइज़ है बल्कि बाज़ सूरतों में ज़रूरी है जब यह लोग इस्लाम पर हमला करें तो बहुत से मवाक़ेअ् (जगहों) पर इल्ज़ामी जवाब की ज़रूरत पड़ती है और जब तक उनका मज़हब मालूम न हो यह क्योंकर हो सकता है तहक़ीक़ी जवाब अगरचे कितना ही क़वी होता है। बातिल परस्त उसको सुनकर ख़ामोश नहीं होते, इल्ज़ामी जवाब के बाद ज़बान बन्द हो जाती है जिस तरह हक़ाइक़े अशया के मुन्किरीन के मुताल्लिक़ उलमा ने फ़रमाया, इन्हें आग में डाल दिया जाये कि अपने जलने और आग के वुजूद का इक़रार करेंगे या जलकर ख़त्म होजायेंगे।

मसअ्ला.31:– बच्चों के पढ़ाने के लिये मुअल्लिम नौकर रखा और यह बयान नहीं किया कि कितने बच्चे पढ़ेंगे यह जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.32:– मुसहफ़ शरीफ़ को तिलावत या पढ़ने के लिये उजरत पर लिया, यह इजारा ना'जाइज़ है इसमें पढ़ने से उजरत वाजिब नहीं होगी इसी तरह तफ़सीर व हदीस व फ़िक़ह की किताबों का उजरत पर लेना भी ना'जाइज़ है इनमें भी उजरत वाजिब नहीं होगी। (बहर)

मसअ्ला.33:– क़लम उजरत पर लिया उससे लिखेगा अगर मुक़र्रर करदी है कि इतने दिनों के लिये है तो यह इजारा जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– जनाज़ा उठाने या मय्यित को नहलाने की उजरत देना, वहाँ जाइज़ है जब उनके इलावा दूसरे लोग भी इस काम के करने वाले हों और अगर इसके सिवा कोई न हो तो उजरत पर काम नहीं किया जासकता क्योंकि इस सूरत में इस काम के लिए मुतअय्यन है। (बहर)

मसअ्ला.35:– इजारे पर काम कराया गया और यह इक़रार कि इसी में से इतना तुम उजरत में लेलेना यह इजारा फ़ासिद है मस्लन कपड़ा बुनने के लिये सूत दिया, और यह कह दिया कि आधा कपड़ा उजरत में लेलेना या ग़ल्ला उठाकर लाओ इसमें से दो सेर मज़दूरी लेलेना या चक्की चलाने के लिये बैल लिये और जो आटा पीसा जायेगा उसमें से इतना उजरत में दिया जायेगा यूँही भाड़ में

चने वग़ैरा भुनवाते हैं और यह ठहरा कि इनमें से इतने भुनाई में दिये जायेंगे यह सब सूरतें ना'जाइज़ हैं इन सब में जाइज़ होने की सूरत यह है कि जो कुछ उजरत में देना है उसको पहले से अलाहिदा करदे कि यह तुम्हारी उजरत है मस्लन सूत को दो हिस्से करके एक हिस्से की निस्बत कहा कि इसका कपड़ा बुन दो और दूसरा दिया कि यह तुम्हारी मज़दूरी है और यह ग़ल्ला फ़ुलाँ जगह पहुँचादे भाड़वाले पहले ही अपनी भुनाई निकालकर, बाक़ी को भूनते हैं इसी तरह सब सूरतों में किया जा सकता है दूसरी सूरत जवाज़ की यह है कि मस्लन कहदिया कि दूसरे गल्ले की मज़दूरी देंगे यह न कहे कि इसमें से देंगे फिर अगर उसी में से देदे जब भी हरज नहीं(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.36:– खेत कटता है तो बालें टूटकर गिर जाती हैं काश्तकारों का क़ायदा है कि उन बालों को चुनवाते हैं और उन्हीं में से निस्फ़ मज़दूरी देते हैं या कपास चुनवाते हैं इसकी मज़दूरी भी इसी में से दी जाती है बल्कि खेत काटने वाले को भी इसी में से मज़दूरी देते हैं यह सब इजारे ना'जाइज़ हैं।

मसअ्ला.37:– तिल या सर्सों, तेली को तेल पिलने को दी, और यह ठहरा, कि उजरत में, इसमें से आधा या तिहाई, चौथाई तेल लेलेगा, बकरी ज़िबह कराई, ओर उसमें कुछ गोश्त उजरत क़रार पाया यह ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.38:– ज़मीन दी कि इसमें दरख़्त नसब करे दरख़्त इन दोनों के माबैन निस्फ़ निस्फ़ होंगे। यह इजारा फ़ासिद है। दरख़्त मालिके ज़मीन के क़रार पायेंगे और पेड़ लगाने वाले को दरख़्तों की क़ीमत। और उसके काम की उजरते मिस्ल मालिके ज़मीन देगा। (आलमगीरी) अकसर जगह देहात में यूँ होता है कि काश्तकार और रिआ़या किसी मौक़े से दरख़्त लगाते हैं और इस दरख़्त में निस्फ़ या चहारुम ज़मीनदार लेता है बाक़ी वह लेता है जिसने लगाया, इसका हुक्म भी वही होना चाहिए।

मसअ्ला.39:– किसी को अपना जानवर देदिया कि इससे काम लो और उजरत पर चलाओ जो कुछ ख़ुदा देगा, वह हम दोनों निस्फ़ निस्फ़ लेंगे। अगर उसने लोगों को इजारे पर दिया तो जो उजरत हासिल होगी मालिक की होगी और उसको अपने काम की उजरते मिस्ल मिलेगी और अगर जानवर को इजारे पर नहीं दिया बल्कि लोगों से उजरत का काम लेकर उस जानवर के ज़रिये करता है। मस्लन बार'बर्दारी का काम लिया, और उस जानवर पर लादकर पहुँचा दिया तो जो उजरत हासिल होगी और मालिक को उजरते मिस्ल देगा। (आलमगीरी) बाज़ लोग तांगा, यक्का ख़रीदकर, तांगे वालों को इसी तरह देते हैं कि वह ख़ुद चलाते हैं इसका हुक्म यह है कि जो कुछ उजरत हासिल हुई, उसकी है मालिक को यह तांगे की उजरते मिस्ल देगा।

मसअ्ला.40:– गाय भैंस ख़रीदकर दूसरे को देते हैं कि इसे खिलाये, पिलाये, जो कुछ दूध होगा वह दोनों में निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम होगा यह इजारा भी फ़ासिद है कुल दूध मालिक का होगा और दूसरे को उसके काम की उजरते मिस्ल मिलेगी और जो कुछ अपने पास से खिलाया है उसकी क़ीमत मिलेगी और गाय ने जो कुछ चरा है उसका कोई मुआ़वज़ा नहीं और दूसरे ने जो कुछ दूध सर्फ़ कर लिया है इतना ही दूध मालिक को दे कि दूध मिस्ल चीज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.41:– किसी को मुर्ग़ी दी कि जो कुछ अन्डे देगी, दोनों निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम करलेंगे यह इजारा भी फ़ासिद है, अन्डे उसके हैं जिसकी मुर्ग़ी है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.42:– बाज़ लोग बकरी बटाई पर देते हैं कि जो कुछ बच्चे पैदा होंगे दोनों निस्फ़ निस्फ़ लेंगे यह इजारा भी फ़ासिद हैं बच्चे उसी के हैं जिसकी बकरी है दूसरे को उसके काम की उजरते मिस्ल मिलेगी।

मसअ्ला.43:– इजारे में काम और वक़्त दोनों चीज़ें मज़कूर हों तो इजारा फ़ासिद है यानी दोनों को माक़ूद अ़लैहि नहीं बनाया जा सकता बल्कि सिर्फ़ एक पर अ़क़्द किया जायेगा यानी इजारा या काम पर होना चाहिए वह जितने वक़्त में हो या वक़्त पर होना चाहिए कि इतने वक़्त में काम करना है जितना काम उस वक़्त में अन्जाम पाये मस्लन नानबाई से कहा मन भर आटा एक रूपये में

आज पकादे यह ना'जाइज़ है अगर वक़्त पर इजारा न हो यानी वक़्त माकूद'अलैहि न हो बल्कि एक वक़्त को महज़ इस लिये ज़िक्र करदिया गया हो ताकि जलदी से वह पकादे या इसलिये वक़्त को ज़िक्र किया, ताकि मालूम हो कि फुलाँ वक़्त में किया जायेगा तो इजारा सही है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.44:– ज़मीन ज़राअत के लिये दी और यह शर्त की कि काश्तकार इसमें खाद डाले यह इजारा फ़ासिद है जबकि यह इजारा एक साल के लिये हो कि खाद का असर एक साल से ज़ायद रहता है और इस शर्त में मालिक ज़मीन का नफ़ा है और अगर कई साल के लिये हो तो फ़ासिद नहीं कि अब शर्त मुक़तज़ा–ए–अक़्द के मनाफ़ी नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.45:– काश्तकार से यह शर्त करदी कि ज़मीन को जोतकर वापस करे इससे भी इजारा फ़ासिद होजाता है। (हिदाया)

मसअ्ला.46:– ज़मीन ज़राअत के लिये दी और उसके बदले में उसकी ज़मीन ज़राअत के लिये लेली यह इजारा फ़ासिद है कि दोनों मनफ़अतें एक ही क़िस्म की हैं। (हिदाया)

मसअ्ला.47:– दो शख़्सों में ग़ल्ला मुश्तरक है इस मुश्तरक ग़ल्ले को उठाने के लिये एक दूसरे को अजीर किया। दूसरे ने उठाया, उसको मज़दूरी नहीं मिलेगी जो कुछ यह उठा रहा है उसमें ख़ुद उसका भी है लिहाज़ा उसका काम ख़ुद अपने लिये हुआ मज़दूरी का मुस्तहिक़ नहीं हुआ इसी तरह एक शरीक ने दूसरे के जानवर या गाड़ी को ग़ल्ला लादने के लिये किराये पर लिया और वह मुश्तरक ग़ल्ला उसपर लादा, किसी उजरत का मुस्तहक़ नहीं और अगर उसकी कश्ती किराये पर ली कि आधी में तुम्हारे हिस्से का ग़ल्ला लादा जाये और आधी में मेरा, यह जाइज़ है। (हिदाया, आलमगीरी) और अगर ग़ल्ला या माले मुश्तरक तक़सीम करने के बाद एक ने दूसरे से कहा मेरा हिस्सा मेरे मकान पर पहुँचादो तुम को इतनी मज़दूरी दीजायेगी अब यह इजारा जाइज़ है कि दोनों की चीज़ें जुदा जुदा हैं।

मसअ्ला.48:– राहिन ने अपनी चीज़ मुरतहिन से किराये पर ली, जिसको मुरतहनि के पास रहन रखा था मुरतहिन को उसकी उजरत नहीं मिलेगी कि राहिन ने ख़ुद अपनी चीज़ से नफ़ा उठाया उजरत किस चीज़ की दे सिर्फ़ यह बात हुई कि राहिन को नफ़ा हासिल करना ममनूअ् था इस वजह से हक़्के मुरतहिन उस चीज़ के साथ मुताल्लिक़ था और मुरतहिन ने जब इजारे पर दी तो ख़ुद उसने अपना हक़ बातिल करदिया राहिन का इन्तिफ़ा (फ़ायदा उठाना) जाइज़ होगया। (दुर्रेमुख़्तार रद्दुलमोहतार) इससे यह बात वाज़ेह होगई कि आज कल बाज़ लोग अपना मकान या खेत रहन रख देते हैं फिर मुरतहिन से किराये पर लेते हैं और यह किराया अदा करते हैं। अव्वल तो यह सूद है कि किराया ज़रे रहन में महसूब नहीं होता बल्कि क़र्ज़ के तौर पर जो रूपया दिया उसका यह सूद है जो यक़ीनन हराम है दूसरे यह कि अपनी ही चीज़ पर किराया देने के कोई मअ्ने नहीं।

मसअ्ला.49:– हम्माम किराये पर दिया मालिके हम्माम अपने अहबाब के साथ उसमें नहाने गया उसके ज़िम्मे कोई उजरत वाजिब नहीं और किराये में से भी इसके नहाने की वजह से कोई जुज़ कम नहीं किया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.50:– ज़मीन को इजारे पर दिया और यह नहीं बयान किया कि इसमें ज़राअत करेगा, या यह कि किस चीज़ की काश्त करेगा तो इजारा फ़ासिद है क्योंकि ज़मीन से मुख़्तलिफ़ मुनाफ़े हासिल किये जा सकते हैं लिहाज़ा ताईन (ख़ास करना) ज़रूरी है या यह तामीम (आम करना) करदे कि नीज़ जो जी चाहे कर, और जब यह दोनों बातें न हों तो फ़ासिद है फिर मज़ारेअ् ने काश्त की और मुद्दत पूरी होगई तो यह इजारा सही होगया और जो उजरत मुक़र्रर हुई थी देनी होगी और अगर मुद्दत पूरी न हुई तो अजरे मिस्ल वाजिब होगा और काश्त करने से पहले दोनों में निज़ाअ् (झगड़ा) पैदा हो जाये तो इजारा फ़स्ख़ करदिया जाये। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.51:– शिकार करने के लिये या जंगल से लकड़ियाँ काटने के लिये अजीर किया अगर

वक़्ते मुक़र्रर कर दिया है, जाइज़ है और वक़्त मुक़र्रर नहीं किया है मगर लकड़ियाँ मोअय्यन करदी हैं यानी बता दिया है कि इन लकड़ियों को काटो, इजारा फ़ासिद है, लकड़ियाँ मुस्ताजिर की होंगी। और उसके ज़िम्मे उजरते मिस्ल वाजिब होगी। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.52:– जिन लकड़ियों के काटने पर अजीर किया वह ख़ुद उसी मुस्ताजिर की मिल्क हैं तो इजारा जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.53:– बीवी को घर की रोटी पकाने के लिये नौकर रखा, कि रोटी पकाये, माहवार या यौमिया इतनी उजरत दूँगा यह इजारा ना'जाइज़ है वह किसी उजरत की मुस्तहक़ नहीं। यूँही ख़ानादारी के दूसरे काम जो औरतें किया करती हैं उनकी उजरत नहीं लेसकती कि यह काम दयानतन उसपर ख़ुद ही वाजिब हैं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.54:– औरत ने अपना मम्लूका मकान (जिस मकान की वह मालिक है) शौहर को किराये पर दिया औरत भी उस मकान में शौहर के याथ रहती है शौहर के ज़िम्मे किराया वाजिब होगया कि औरत की सुकूनत उसमें तबअ़न है (शौहर की वजह से है) (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.55:– जो इजारा इस्तेहलाके ऐन (अस्ल चीज़ हलाक होना) पर हो कि मुस्ताजिर ऐन शयं लेले वह इजारा ना'जाइज़ है मस्लन गाय, भैंस को इजारे पर दिया कि मुस्ताजिर दूध हासिल करे, नहर या तालाब को मछली पकड़ने के लिये ठेके पर दिया, यह ना'जाइज़ है। यूँही चरागाह का ठेका भी ना'जाइज़ है। (आलमगीरी, रद्दुलमोहतार) गाँव और बाज़ार और जंगल का ठेका भी नाजाइज़ है कि इन सब में इस्तेहलाके ऐन है।

मसअ्ला.56:– मकान इजारे पर दिया, और यह शर्त करली कि रमज़ान का किराया हिबा कर दूँगा या तुम्हारे ज़िम्मे नहीं होगा यह इजारा फ़ासिद है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.57:– दुकान जल गई, इसको किराये पर लिया इस शर्त पर कि इसे बनवायेगा और जो कुछ ख़र्च होगा वह किराये में महसूब होगा यह इजारा फ़ासिद है और अगर मुस्ताजिर उसमें रहा, तो उसपर उजरते मिस्ल वाजिब है और जो कुछ ख़र्च किया है वह और बनवाने की उजरते मिस्ले उसे मिलेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.58:– मुस्ताजिर के ज़िम्मे यह शर्त करना कि इस चीज़ की वापसी तुम्हारे ज़िम्मे है यानी काम करने के बाद तुम अपने सर्फ़ से चीज़ को वापस कर जाना। अगर वह चीज़ ऐसी है जिसमें बार'बर्दारी सर्फ़ होती है जैसे देग, शामियाना तो इस शर्त की वजह से इजारा फ़ासिद है और ऐसी नहीं है तो फ़ासिद नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.59:– कोई चीज़ उजरत पर ली थी मसलन देग और उसकी मुद्दत दो दिन थी और मुद्दत पूरी होने के बाद भी उसी के यहाँ पड़ी रही, मालिक नहीं लेगया तो सिर्फ़ इतने ही दिनों का किराया वाजिब होगा जिनका ज़िक्र इजारे में हुआ अगरचे वापस करना मुस्ताजिर के ज़िम्मे क़रार पाया कि यह शर्त फ़ासिद है और अगर इस तरह इजारा हो कि फ़ी यौम इतना किराया, जैसा कि शामियानों और देगों वग़ैरहा में इसी तरह उमूमन होता है तो जब चीज़ उसके काम से फ़ारिग़ हो गई इजारा ख़त्म होगया इसके बाद किराया वाजिब नहीं होगा यह चीज़ मालिक के यहाँ पहुँचादे या अपने यहाँ रहने दे और अगर दोपहर में चीज़ ख़ाली होगई जब भी पूरे दिन का किराया देना होगा। यूँही एक माह के लिये किराये पर ली थी और पन्द्रह दिन में ख़ाली होगई पूरे महीने का किराया देना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.60:– इजारे को दूसरे इजारे के फ़स्ख़ पे मोअल्लक़ करना यानी एक शख़्स से इजारा करने के बाद दूसरे से यूँ इजारा किया कि अगर वह पहला इजारा फ़स्ख़ होजाये तो तुमसे इजा[illegible] है यह बातिल है। (आलमगीरी)

ज़माने अजीर का बयान

अजीर दो क़िस्म के हैं (1) अजीरे मुश्तरक (2) अजीरे ख़ास, अजीर मुश्तरक वह है जिसके लिये किसी वक़्ते ख़ास में एक ही शख़्स का काम करना ज़रूरी न हो उस वक़्त में दूसरे का भी काम कर सकता हो जैसे धोबी, ख़य्यात,(दर्ज़ी) हज्जाम वग़ैरहुम जो एक शख़्स के कांम के पाबन्द [illegible] हैं। और अजीरे ख़ास एक ही शख़्स के काम का पाबन्द होता है।

मसअ्ला.1:– काम में जब वक़्त की क़ैद न हो अगरचे वह एक ही शख़्स का काम करे यह भी अजीरे मुश्तरक है मस्लन दर्ज़ी को अपने घर में कपड़े सीने के लिये रखा और यह पाबन्दी न हो कि फ़ुलाँ वक़्त से फ़ुलाँ वक़्त तक सियेगा और रोज़ाना या माहवार यह उजरत दी जायेगी बल्कि जितना काम करेगा उसी हिसाब से उजरत दी जायेगी तो यह अजीरे मुश्तरक है यूँही अगर वक़्त की पाबन्दी है मगर दूसरे का काम भी उस वक़्त में करने की इजाज़त है मस्लन चरवाहे को बकरियों के चराने को एक रूपया माहवार रखा मगर यह नहीं कहा कि दूसरे की बकरियाँ न चराना तो यह भी अजीर मुश्तरक है और अगर यह तय हो जाये कि दूसरे की बकरियाँ नहीं चरायेगा तो अजीर ख़ास है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– अजीरे मुश्तरक में इजारे का ताल्लुक़ काम से है लिहाज़ा वह कई लोगों के काम ले सकता है और अजीरे ख़ास में उस मुद्दत के मुनाफ़ेअ् का एक शख़्स को मालिक कर चुका लिहाज़ा दूसरे से अक़्द नहीं कर सकता।

मसअ्ला.3:– अजीरे मुश्तरक उजरत का उस वक़्त मुस्तहिक़ है जब काम कर चुके मस्लन दर्ज़ी ने कपड़े सीने में सारा वक़्त सर्फ़ कर दिया मगर कपड़ा सीकर तैयार नहीं किया या अपने मकान पर सीने के लिये तुमने उसे मुक़र्रर किया था दिन भर तुम्हारे यहाँ रहा मगर कपड़ा नहीं सिया उजरत का मुस्तहिक़ नहीं है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– जो काम ऐसा है कि महल (जगह) के मुख़्तलिफ़ होने से इसमें इख़्तिलाफ़ होता है यानी बाज़ में मेहनत कम है बाज़ में ज़ायद, ऐसे कामों में अजीरे मुश्तरक को ख़्यारे रोयत हासिल होता है देखने के बाद काम से इन्कार कर सकता है मस्लन धोबी से ठहराया कि गज़ी (एक देसी कपड़ा जो मोटा और घटिया किस्म का होता है) का एक थान एक आने में धोयेगा उसने थान देखकर धोने से इन्कार कर दिया यह हो सकता है या रंगरेज़ से रंगना तय हो गया था कपड़ा देखकर इन्कार कर सकता है कि बाज़ कपड़े के रंगने में ज़्यादा मेहनत होती है और ज़्यादा रंग ख़र्च होता है यूँही दर्ज़ी भी कपड़ा देख कर इन्कार कर सकता है क्योंकि बाज़ कपड़ों के सीने में ज़्यादा मेहनत होती है मगर देखने के बाद राज़ी होगया तो अब इन्कार की गुंजाइश न रही अगर काम ऐसा है कि महल (जगह) के इख़्तिलाफ़ से उसमें इख़्तिलाफ़ न हो तो इन्कार की गुंजाइश नहीं मस्लन मन भर गेहूँ तोलने के लिये अजीर किया या हजामत बनाने के लिये तय किया देखने के बाद वह इन्कार नहीं कर सकता। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.5:– अजीरे मुश्तरक के पास चीज़ अमानत होती है अगर ज़ाइअ् होजाये, ज़मान वाजिब नहीं अगरचे चीज़ देते वक़्त यह शर्त करदी हो कि जाइअ् होगी, तो ज़मान लूँगा कि यह शर्त बातिल है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– अजीरे मुश्तरक के फ़ेअ्ल (काम) से अगर चीज़ ज़ाइअ् बर्बाद हुई तो तावान वाजिब है मस्लन धोबी ने कपड़ा फ़ाड़ दिया अगरचे क़स्दन न फ़ाड़ा हो चाहे ख़ुद उसी ने फ़ाड़ा, या उसने दूसरे से धुलवाया उसने फ़ाड़ा, बहरहाल तावान वाजिब है और इस सूरत में धुलाई का भी मुस्तहिक़ नहीं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– हम्माल (बोझ उठाने वाला) सामान लादकर ला रहा है पाँव फिसला और सामान टूट,फूट गया इस पर ज़मान वाजिब है, या जानवर पर सामान लादकर ला रहा था, जानवर फिसला और सामान बर्बाद होगया इसमें भी ज़मान वाजिब है और अगर रस्सी के टूट जाने से सामान गिरकर ज़ाइअ् हुआ इसमें भी ज़मान वाजिब है मगर जबकि ख़ुद रस्सी सामान वाले की हो तो तावान नहीं (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– कश्ती पर सामान लदा हुआ है मल्लाह कश्ती खींच रहा था, कश्ती उसके खींचने से डूब गई ज़मान वाजिब है और अगर मुख़्तलिफ़ हवा या मौजे दरिया से या पहाड़ी से टकराकर डूबी तो ज़मान वाजिब नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.9:– चरवाहा जानवरों को तेज़ी से हांक कर लेजा रहा था पुल पर जानवर पहुँचे, आपस के धक्के से कोई जानवर गिरगया या दरिया किनारे एक ने दूसरे को धक्का दिया वह पानी में गिर

कर मरगया चरवाहे को तावान देना होगा कि इसने तेज़ न भगाया होता तो ऐसा न होता। यूँही अगर चरवाहे के मारने या हांकने से जानवर हलाक हुआ या उसके मारने से आँख फूटगई या कोई अज़ू (जिस्म का हिस्सा) टूट गया तो उसका भी तावान वाजिब है। (रद्दुलमोहतार, आलमगीरी)

मसअ्ला.10:— कश्ती में आदमी सवार थे और मल्लाह कश्ती को खींचकर लेजा रहा था कश्ती डूब गई और आदमी हलाक होगये या जानवर पर आदमी सवार है और जानवर का मालिक उसे हांक कर या खींचकर लेजा रहा था आदमी गिरकर हलाक होगया इन दोनों सूरतों में ज़मान वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:— हम्माल बर्तन में कोई चीज़ लिये जारहा था और रास्ते में बर्तन टूटा तो चीज़ ज़ाइअ् हुई तो मालिक को इख़्तियार है कि जहाँ से लारहा था वहाँ उस चीज़ की जो क़ीमत थी वह तावान ले और इस सूरत में यहाँ तक की मज़दूरी हिसाब करके देदे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.13:— मकान तक मज़दूर ने सामान पहुँचा दिया मालिक उसके सर से उतरवा रहा था चीज दोनों के हाथ से छूटकर गिरी और ज़ाइअ् हुई, निस्फ़ क़ीमत मज़दूर से तावान लीजाये।(आलमगीरी)

मसअ्ला.14:— कश्ती पर सामान लादकर वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ लेजाना था मगर मुख़ालिफ़ हवा से वहीं चली आई जहाँ से गई थी या कहीं और चली गई अगर सामान का मालिक या उस का वकील कश्ती में मौजूद था तो किराया वाजिब है और मल्लाह को इस पर मजबूर नहीं किया जा सकता कि फिर वहाँ पहुंचाये क्योंकि उसका काम पूरा होचुका हाँ अगर कश्ती ऐसी जगह है जहाँ चीज़ पर क़ब्ज़ा नहीं किया जा सकता तो मल्लाह को लौटाकर लाना होगा और उसकी मज़दूरी भी दी जायेगी और अगर मालिक या उसका वकील कश्ती में न था तो मल्लाह को इसी पहली उजरत में चीज़ पहुँचानी होगी कि अभी उसका काम ख़त्म नहीं हुआ। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:— मल्लाह ने अपनी हाजत के लिये कश्ती में आग रखी थी उससे सामान जल गया। मल्लाह पर तावान वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.16:— कश्ती अपना सामान लादने के लिए किराया की, मल्लाह ने बिग़ैर रज़ामन्दीए मुस्ताजिर, इसमें कुछ दूसरा सामान भी लाद दिया और कश्ती इतना बोझ उठा सकती है। कश्ती डूब गई अगर मुस्ताजिर था तो तावान वाजिब। (आलमगीरी)

मसअ्ला.17:— धोबी को कपड़ा दिया था और एक शख़्स से कह दिया कि तुम धोबी से कपड़ा ले लेना, धोबी ने उसे दूसरा देदिया, यह कपड़ा उसके हाथ में अमानत है ज़ाइअ् होजाये तो धोबी उससे तावान नहीं लेसकता और कपड़े वाला अपना कपड़ा वसूल करेगा यह उस वक़्त है कि वह कपड़ा ख़ास धोबी का ही हो और अगर किसी दूसरे का है तो जिसका है वह तावान लेगा अगर धोबी से उसने तावान लिया जब तो कुछ नहीं और उस शख़्स से लिया तो वह धोबी से तावान की क़द्र (बराबर) वसूल कर लेगा। दर्ज़ी का भी यही हुक्म है।

मसअ्ला.18:— धोबी ने दूसरा कपड़ा देदिया और उसने अपना समझकर लेलिया यह ज़ामिन है। यह नहीं कह सकता कि मुझे इल्म न था कि दूसरे का है और फ़र्ज़ करो, उसने कपड़े को क़ता करलिया और सीलिया तो जिसका कपड़ा है वह दोनों में से जिससे चाहे ज़मान ले सकता है काटने वाले से लिया तो कुछ नहीं धोबी से ज़मान लिया तो वह काटने वाले से वसूल कर सकता है (आलमगीरी)

मसअ्ला.19:— धोबी ने एक कपड़ा दूसरे को देदिया या मालिक ने जब मांगा तो उसने कहा, मैंने फ़ुलाँ को देदिया यह समझकर कि उसी का है धोबी को तावान देना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.20:— धोबी ने कपड़ा देना चाहा, मालिक ने कहा, अपने ही पास रखले इस सूरत में मुतलक़न ज़ामिन नहीं उजरत लेली हो, या न ली हो और अगर उजरत लेने के लिये उसने कपड़ा रोक रखा है तो ज़ामिन है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.21:— धोबी को दूसरे का कपड़ा पहनना जाइज़ नहीं, कि अमानत में तसर्रुफ़ करना ख़्यानत है मगर पहनने के बाद उसने उतारकर रखदिया तो अब ज़ामिन नहीं रहा जिस तरह

वदीअ़त का हुक्म है जिसको पहले बयान किया गया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.22:– चरवाहा खुद भी बकरियाँ चरा सकता है और उसके बाल, बच्चे और अजीर भी चरा सकते हैं। अगर किसी अजनबी शख़्स को सिपुर्द करके चला गया और जानवर ज़ाइअ् होगया तो ज़मान वाजिब है मगर जबकि थोड़ी देर के लिये ऐसा किया हो मस्लन पेशाब करने गया या खाने के लिये गया तो मुआफ़ है इस सूरत में तावान वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.23:– चरवाहे ने एक की बकरियाँ दूसरे की बकरियों में मिलादीं। अगर इम्तियाज़ मुम्किन है तो हर्ज नहीं और किस की कौन है। किस की कौन है। इसमें चरवाहे का क़ौल मोअ्तबर है। और अगर इम्तियाज़ न रहा, चरवाहा कहता है 'मुझे शनाख़्त नहीं' तो तावान वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.24:– चरवाहों का क़ायदा है कि जानवर उस गली में छोड़ जाते हैं जिसमें मालिक का मकान है उसके मकान पर नहीं पहुँचाते, न मालिक को सिपुर्द करते हैं मकान पर पहुँचने से पहले अगर गाय या बकरी ज़ाइअ् होगई तो चरवाहे पर ज़मान वाजिब नहीं। (आलमगीरी) मगर जबकि मालिक ने कह दिया कि मेरे मकान पर पहुँचा जाया करना तो ज़मान वाजिब है कि उसने शर्त के ख़िलाफ़ किया।

मसअ्ला.25:– गाँव के चरवाहे गाँव के किनारे पर जानवरों को लाकर छोड़ देते हैं अगर चरवाहे ने यह शर्त करली है या यह मुतआरफ़ (वहाँ छोड़ना मशहूर हो) तो वहाँ छोड़ देना जाइज़ है। ज़ाइअ् होने पर ज़मान वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.26:– जंगल में झाड़ियाँ हैं, जानवर चरते हैं कि सब जानवर चरवाहे के पेशे नज़र नहीं होते जैसा कि अकस्र ढाक के जंगल में होता है कोई जानवर इस सूरत में ज़ाइअ् होगया तो ज़मान वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.27:– चरवाहा कहीं चलागया और गाय ने किसी का खेत चर लिया खेत वाला चरवाहे से ज़मान नहीं ले सकता, हाँ अगर उसने खुद खेत में छोड़ा या हांक कर लिये जा रहा था और गाय ने उस हालत में चर लिया तो तावान वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.28:– फ़स्साद (फ़ासिद रग से खून निकालने वाला) ने फ़स्द खोली या पछन्ने लगाने वाले ने पछन्ना लगाया, या जर्राह ने फोड़ा चीरा, और इन सब में मोज़ए मोअ्ताद से तजावुज़ नहीं किया (आमतौर से जितना चीरा लगता है उस से नहीं बढ़ना) तो ज़मान वाजिब नहीं और अगर जितनी जगह पर होना चाहिए उससे तजावुज़ (बढ़ गया) किया और हलाक नहीं हुआ तो जितनी ज़्यादती की है उसका तावान दे और अगर हलाक होगया तो निस्फ़ दीयते नफ़्स वाजिब है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.29:– अजीरे ख़ास जिसकी तारीफ़ पहले होचुकी है उसके ज़िम्मे तस्लीमे नफ़्स वाजिब है यानी जो वक़्त उसके लिये मुक़र्रर कर दिया है उस वक़्त उसका हाज़िर रहना ज़रूरी है उसने अगर काम नहीं किया है जब भी उजरत का मुस्तहिक़ है जैसे किसी को ख़िदमत के लिये नौकर रखा या जानवरों को चराने के लिये नौकर रखा और तनख़्वाह भी मुक़र्रर करदी। (हिदाया)

मसअ्ला.30:– अजीरे ख़ास के पास जो चीज़ है वह अमानत है अगर तल्फ़ होजाये तो ज़मान नहीं। अगरचे उसके फ़ेअ्ल की वजह से तल्फ़ हुई मस्लन अजीरे ख़ास ने कपड़ा धोया और उसके पटकने या निचोड़ने से कपड़ा फट गया उस पर ज़मान वाजिब नहीं और अजीरे मुश्तरक से ऐसा हुआ तो वाजिब है जिसका ज़िक्र मुफ़स्सल गुज़रा, हाँ अगर अजीरे ख़ास ने क़स्दन उस चीज़ को फ़ासिद या ख़राब कर दिया तो उस पर तावान वाजिब होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.31:– उसके फ़ेल से कुछ नुक़सान हो तो ज़ामिन नहीं इससे मुराद वह फ़ेल है जिसकी उसे इजाज़त दी हो और अगर उसने कोई ऐसा काम किया जिसकी उसको इजाज़त नहीं दी थी और उसके फ़ेल से नुक़सान हुआ तो तावान उसके ज़िम्मे वाजिब है मस्लन एक काम पर वह मुलाज़िम है और दूसरा काम किया जिसकी मालिक से इजाज़त नहीं ली थी और उस काम में चीज़ का नुक़सान हुआ। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.32:– जो चरवाहा ख़ास एक शख़्स का मुलाज़िम है उसने जानवरों को हांका और उसकी वजह से एक जानवर ने दूसरे को धक्का दिया और यह गिर पड़ा और मरगया। चरवाहे पर तावान नहीं और अगर वह दो या तीन शख़्सों का मुलाज़िम है तो अगरचे यह भी अजीरे ख़ास है मगर इस सूरत में इस पर तावान है। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.33:– बच्चा दाया के पास था उसके ज़ेवर कोई उतार लेगया दाया पर उसका तावान वाजिब नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.34:– बाज़ार का चौकीदार और मुसाफ़िरख़ाने व सराय के मुहाफ़िज़ भी अजीरे ख़ास हैं। अगर बाज़ार में चोरी होगई या सराय और मुसाफ़िरख़ाने से माल जाता रहा तो इन लोगों से तावान नहीं लिया जा सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.35:– अजीरे ख़ास ने अगर दूसरे का काम किया है उसी हिसाब से उसकी उजरत कम करदी जायेगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.36:– अगर किसी वजह से अजीरे ख़ास काम न कर सका तो उजरत का मुस्तहिक़ नहीं है मस्लन बारिश होरही थी जिसकी वजह से काम नहीं किया अगरचे हाज़िर हो उजरत नहीं पायेगा। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.37:– अजीरे ख़ास इस मुद्दते मुक़र्ररा में अपना ज़ाती काम भी नहीं कर सकता और औक़ाते नमाज़ में फ़र्ज़ और सुन्नते मुअक्कदा पढ़ सकता है, नफ़्ल नमाज़ पढ़ना उसके लिये औक़ाते इजारे में जाइज़ नहीं और जुमे के दिन नमाज़े जुमा पढ़ने के लिये जायेगा मगर जामा मस्जिद अगर दूर है कि वक़्त ज़्यादा सर्फ़ होगा तो इतने वक़्त की उजरत कम करदी जायेगी और अगर नज़्दीक है तो कुछ कमी नहीं की जायेगी अपनी उजरत पूरी पायेगा। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.38:– चरवाहा अगर अजीरे ख़ास है और जितनी बकरियाँ चरने के लिये उसे सिपुर्द कीं उसमें से कुछ कम होगईं जब भी वह पूरी उजरत का मुस्तहिक़ है बल्कि अगर एक बकरी भी बाक़ी न रहे ज़ब भी पूरी उजरत का मुस्तहिक़ है और अगर बकरियों में इज़ाफ़ा होगया और इतनी ज़्यादा होजायें जिनके चराने की उसे ताक़त है, चरानी होंगी उससे इनकार नहीं कर सकता और उजरत वही मिलेगी जो मुक़र्रर हुई है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार) इसी तरह मुअल्लिम को बच्चे पढ़ाने के लिये सिपुर्द किये गये कुछ लड़कों का इज़ाफ़ा हुआ जिनको वह पढ़ा सकता है तो इन्कार नहीं कर सकता और लड़के कम होगये जब भी पूरी तनख़्वाह का मुस्तहिक़ है।

मसअ्ला.39:– घोड़ा किराये पर लिया, रास्ते में वह भाग गया अगर ग़ालिब गुमान यह है कि ढूँढने से भी न मिलेगा और न ढूँढा, तो ज़िमान वाजिब नहीं यूँही रेवड़ से बकरियाँ भाग गईं चरवाहे को ग़ालिब गुमान है कि अगर उसे ढूँढने जायेगा तो बाक़ी बकरियाँ जाती रहेंगी इस वजह से नहीं गया, तो ज़िमान वाजिब नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.40:– किरायेदार ने मकान में चूल्हा बनाया या तन्नूर गाढ़ा, उससे आग उड़ी, और यह मकान या पड़ोसी का मकान जलगया तावान वाजिब नहीं। मालिक मकान की इजाज़त से चूल्हा या तन्नूर बनाया हो या बिग़ैर इजाज़त। हाँ अगर इस तरह आग जलाई कि चूल्हे और तन्नूर इस तरह नहीं जलाते, तो तावान देना होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.41:– शागिर्द अपने उस्ताद के पास काम सीखता है या बड़े दुकानदार और कारीगर अपने यहाँ काम करने के लिए कुछ लोगों को नौकर रख लेते हैं और उनसे काम लेते हैं। इन शागिर्दों और नौकरों का काम उसी उस्ताद और दुकानदारों का समझा जाता है। अगर शागिर्दों या नौकरों से किसी की चीज़ में नुक़सान पहुँचा, जो इस दुकान पर बनने के लिये आई थी तो इसका ज़िम्मेदार वह उस्ताद और दुकानदार है उसी से तावान लिया जायेगा, वह नहीं कह सकता कि मुझ से नुक़सान नहीं हुआ मस्लन दर्ज़ी के पास कपड़ा सीने के लिये दिया उसके नौकर ने कोई ऐसी

ख़राबी करदी जिससे तावान लाज़िम आता है तो उसी दर्ज़ी से तावान लिया जायेगा और वह अपने नौकर से तावान नहीं ले सकता कि नौकर अजीरे ख़ास है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.42:– एक शख़्स सराय में चन्द रोज़ रहा, या ऐसे मकान में रहा, जो किराये पर उठाने के लिये मालिक ने रखा है उस शख़्स से किराया माँगा गया तो कहने लगा कि मैं बतौर ग़सब इस मकान में रहा, सराय में रहा, मुझ पर किराया वाजिब नहीं उसकी बात नहीं मानी जायेगी उससे किराया वसूल किया जायेगा अगरचे वह शख़्स इसी तरह के ज़ुल्म करता हो कि लोगों के मकानों में बिग़ैर किराया ज़बरदस्ती रहता हो और यह बात मशहूर हो क्योंकि ऐसी जायदाद जो किराये ही के लिये है उसका बहर हाल किराया मिस्ल देना, उसी तरह जायदादे मौक़ूफ़ा और माले यतीम का किराया मिस्ल देना ही होगा अगरचे इस्तेमाल करने वाले ने ग़सब के तौर पर इस्तेमाल किया हो। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार)

दो शर्तों में से एक पर इजारा

मसअ्ला.1:– दर्ज़ी से कहा, अगर इस कपडे की अचकन सियोगे तो एक रूपया सिलाई और शेरवानी सी, तो दो रूपये यह सूरत जाइज़ है जो सीकर लायेगा उसकी सिलाई पायेगा यूँही रंगरेज़ से कहा कि इस कपड़े को कुसुम से रंगोगे तो एक रूपया, और ज़ाफ़रान से रंगोगे तो दो रूपये, इसी तरह अगर यह कहा कि इस मकान में रहोगे, तो पाँच रूपये किराये के हैं और उसमें रहोगे, तो दस रूपये यह भी जाइज़ है अगर तांगे वाले से कहा कि फ़ुलाँ जगह तक ले जाओगे तो एक रूपया किराया और फ़ुलाँ जगह, तो दो रूपये यह भी जाइज़ है इन सब में जो सूरत पाई गई। उसी की उजरत दी जायेगी। (हिदाया)

मसअ्ला.2: दर्ज़ी से कहा, अगर आज सीकर दिया तो एक रूपया और कल दिया तो आठ आने। उसने आज ही सीकर दे दिया तो एक रूपया देना होगा दूसरे दिन देगा तो उजरते मिस्ल वाजिब होगी जो आठ आने से ज़्यादा न होगी। (हिदाया)

मसअ्ला.3:– अगर दर्ज़ी से कहा कि आज सीके देगा तो एक रूपया और कल सिया तो कुछ उजरत नहीं अगर आज सिया तो एक रूपया मिलेगा और दूसरे दिन सिया तो उजरते मिस्ल मिलेगी जो एक रूपये से ज़ायद न होगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– दर्ज़ी से कहा, अगर तुमने ख़ुद सिया तो एक रूपया और शागिर्द से सिलवाया, तो आठ आने, यह भी जाइज़ है जिसने सिया उसके लिये जो मज़दूरी मुक़र्रर है वह मिलेगी। (हिदाया)

मसअ्ला.5:– जिस तरह दो चीज़ों में इख़्तियार दिया जा सकता है। तीन चीज़ों में भी हो सकता है। चार चीज़ों में इख़्तियार दिया यह ना जाइज़ है। (हिदाया)

मसअ्ला.6:– उस दुकान या मकान में अगर तुमने अत्तार को रखा, तो एक रूपया किराया, और लोहार को रखा, तो दो रूपये यह भी जाइज़ है। (हिदाया)

ख़िदमत के लिये इजारा और नाबालिग़ को नौकर रखना

मसअ्ला.1:– मर्द अपनी ख़िदमत के लिए औरत को नौकर रखे, यह ममनूअ् है। वह औरत आज़ाद हो या कनीज़, दोनों का एक हुक्म हैं कि कभी दोनों तन्हाई में भी होंगे और अजनबिया के साथ ख़लवत व तन्हाई की मुमानअत है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– औरत ने ऐसे शख़्स की मुलाज़िमत की जो बाल बच्चों वाला है इसमें हरज नहीं जैसा कि उमूमन हिन्दुस्तान में खाना पकाने के और घर के कामों के लिये, मामायें नौकर रखी जाती हैं। मगर यह ख़्याल रखना ज़रूरी है कि मर्द को उसके साथ तन्हाई न हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– अपनी औरत को अपनी ख़िदमत के लिये नौकर रखे, यह नहीं हो सकता कि औरत पर ख़ुद ही अपने शौहर की ख़िदमत वाजिब है फिर नौकरी के क्या माने हैं इस वजह से घर के जितने काम औरतें उमूमन किया करती हैं मसलन पीसना, पकाना, झाड़ू देना, बर्तन धोना, वग़ैरहा

इन पर अपनी औरत से इजारा नहीं हो सकता। (आलमगीरी वगैरा)

मसअ्ला.4:– कोई बद नसीब अगर अपने वालिदैन या दादा दादी को अपनी ख़िदमत के लिये नौकर रखे यह इजारा ना'जाइज़ है मगर उन्होंने अगर काम कर लिया तो उजरत के मुस्तहिक़ होंगे और वही उजरत पायेंगे जो तय हो चुकी है अगरचे उजरते मिस्ल उससे कम हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– इनके इलावा वह दीगर रिश्तेदारों को मस्लन भाई या चचा वगैरा को ख़िदमत के लिये नौकर रखना जाइज़ है मगर बाज़ ने फ़रमाया है कि बड़े भाई या चचा कि उम्र में बड़ा है मुलाज़िम रखना जाइज़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– मुसलमान ने काफ़िर की ख़िदमतगारी की, नौकरी की, यह मना है बल्कि किसी ऐसे काम पर काफ़िर से इजारा न करे जिसमें मुस्लिम की ज़िल्लत हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– बाप अपने ना'बालिग़ लड़के को ऐसे काम के लिय उजरत पर दे सकता है जिसके करने की उसे ताक़त हो और बाप न हो तो उसका वसी, यह भी न हो तो दादा और दादा भी न हो तो उसका वसी, नाबालिग़ को इजारे पर दे सकता है और अगर इनमें से कोई न हो तो ज़ूरहम महरम जिसकी परवरिश में वह बच्चा है दे सकता है। (खानिया)

मसअ्ला.8: ज़ू'रहम महरम ने बच्चे को इजारे पर दिया और उसी की परवरिश में है तो जो कुछ मज़दूरी मिली है उस बच्चे पर ख़र्च नहीं कर सकता जिस तरह बच्चा किसी ने हिबा किया तो वह रिश्तेदार हिबा क़बूल कर सकता है मगर बच्चे पर उसे ख़र्च नहीं कर सकता। (ख़ानिया)

मसअ्ला.9:– क़ाज़ी ने अगर हुक्म दे दिया है कि जो कुछ यह बच्चा कमा कर लाये हस्बे ज़रूरत उस पर ख़र्च किया जाये उस वक़्त ख़र्च करना जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– बाप, दादा या उनके वसी या क़ाज़ी ने ना'बालिग़ को इजारे पर दिया और मुद्दते इजारा ख़त्म होने से पहले वह बलिग़ होगया तो उसको इख़्तियार है कि इजारे को बाक़ी रखे या फ़स्ख़ करदे और अगर नाबालिग़ की किसी चीज़ को उन्होंने इजारे पर देदिया है और मुद्दत पूरी होने से पहले यह बालिग़ होगया तो इजारा फ़स्ख़ नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– ना'बालिग़ को उसके बाप ने खाने, कपड़े पर एक साल के लिये नौकर रखवा दिया जब मुद्दत पूरी हुई तो उजरते मिस्ल का मुतालबा कर सकता है क्योंकि जो जो इजारा मुनअ़क़िद किया था वह बवजहे उजरते मजहूल होने के फ़ासिद है और साल भर तक जो मुस्ताजिर ने लड़के को खिलाया, यह तबर्रोअ् (नेकी का काम) है इसको मिन्हा नहीं किया (उस में से घटाया नहीं) जा सकता। अल'बत्ता जो कपड़े उसके पास उसके दिये हुए हों उनको वापस ले सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– ना'बालिग़ लड़का जिसको वली ने मना कर दिया है उसने उजरत पर काम करने के लिये अ़क़्द किया यह इजारा ना'जाइज़ है मगर काम करने के बाद पूरी उजरत का मुस्तहिक़ होगा और अगर उस काम में हलाक होगया तो दियत वाजिब होगी। (रद्दुल'मोहतार)

मसअ्ला.13:– मुस्ताजिर ने बच्चे को जिसने बिग़ैर इज़्ने वली अ़क़्दे इजारा किया है पेशगी उजरत देदी यह उजरत वापस नहीं ले सकता क्योंकि अगर यह इजारा उस वक़्त ना'जाइज़ है मगर काम करने के बाद सही होजायेगा उसी वजह से इस सूरत में जो उजरत मुक़र्रर हुई है वह पूरी दिलाई जायेगी(दुर्रेमुख़्तार)

मूजिर (किराया देने वाला) और मुस्ताजिर (किराया लेने वाला) के इख़्तिलाफ़ात

मसअ्ला.1:– पनचक्की किराये पर दी है। मुस्ताजिर कहता है 'नहर में पानी था ही नहीं। इस वजह से पनचक्की चल न सकी लिहाज़ा किराया देना मुझपर वाजिब नहीं और पनचक्की का मालिक कहता है 'पानी था इसका हुक्म यह है कि अगर गवाह न हों तो उस वक़्त जो हालत हो उसी के मुवाफ़िक़ ज़मान–ए–गुज़िश्ता के मुताल्लिक़ हुक्म दिया जायेगा अगर पानी इस वक़्त है तो मालिक की बात मानी जायेगी और नहीं है तो मुस्ताजिर की बात मोअ्तबर है और जिसकी भी बात मोअ्तबर होगी क़सम के साथ मोअ्तबर होगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– पनचक्की का पानी कुछ दिनों बन्द रहा मगर कितने दिनों बन्द रहा इसमें मूजिर और मुस्ताजिर दोनों का इख़्तिलाफ़ है। मुस्ताजिर की बात क़सम के साथ मोअ्तबर होगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– पनचक्की किराये पर दी, और यह शर्त करदी कि पानी रहे या न रहे, हर सूरत में किराया देना होगा इस शर्त की वजह से इजारा फ़ासिद होगा और जिन दिनों पानी न था उसका किराया वाजिब न होगा पानी जारी रहने के ज़माने की उजरते मिस्ल वाजिब होगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– कपड़ा सीने को दिया था यह कहता है मैंने क़मीस सीने को कहा था दर्ज़ी कहता है अचकन सीने को कहा था या रंगने को दिया, यह कहता है मैंने सुर्ख़ रंगने को कहा था। रंगरेज़ कहता है ज़र्द रंगने के लिये कहा था तो कपड़े वाले का क़ौल क़सम के साथ मोअ्तबर है और जब उसने क़सम खाई तो इख़्तियार है कि अपने कपड़े का तावान ले या उसी को ले ले, और उजरते मिस्ल देदे। (हिदाया)

मसअ्ला.5:– अगर मालिक कहता है 'मैंने मुफ़्त सीने या रंगने के लिये दिया था और सीने वाला या रंगने वाला कहता है 'उजरत पर दिया था तो इसमें भी कपड़े वाले का क़ौल मोअ्तबर है मगर जबकि इस शख़्स का पेशा यह है और उजरत पर काम करना मारूफ़ व मशहूर है और उसका हाल यही बताता है कि उजरत पर काम करता है कि दुकान उसने इसी काम के लिये खोल रखी है तो ज़ाहिर हाल यही है कि उजरत पर उसने काम किया है लिहाज़ा क़सम के साथ उसी का क़ौल मोअ्तबर है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– अभी काम किया ही नहीं है और यही इख़्तिलाफ़ हुए तो दानों पर हलफ़ है और पहले मुस्ताजिर पर क़सम दी जायेगी क़सम खाने से जो इन्कार करेगा उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला होगा और दोनों ने क़समें खालीं, तो अ़क़्द फ़स्ख़ कर दिया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल मोहतार)

मसअ्ला.7:– एक चीज़ उजरत पर ली और अभी उसमें तसर्रुफ़ भी नहीं किया है कि मालिक और मुस्ताजिर में इख़्तिलाफ़ होगया मुस्ताजिर कहता है 'उजरत पाँच रूपये है और मालिक दस रूपये बताता है जो गवाह पेश करे, उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला होगा और दोनों ने गवाह पेश किये तो मालिक के गवाह पर फ़ैसला होगा और अगर किसी के पास गवाह नहीं हैं तो दोनों पर हलफ़ है और मुस्ताजिर से पहले क़सम खिलाई जाये अगर दोनों क़सम खा जायें इजारा फ़स्ख़ कर दिया जाये। (ख़ानिया)

मसअ्ला.8:– मुद्दते इजारा या मुसाफ़त के मुतअ़ल्लिक़ इख़्तिलाफ़ है उसका भी वही हुक्म है मगर इस सूरत में मालिक को पहले क़सम दी जाये और दोनों गवाह पेश करें तो मुस्ताजिर के गवाह मोअ्तबर होंगे। (ख़ानिया)

मसअ्ला.9:–मुद्दत और उजरत दोनों बातों में इख़्तिलाफ़ है। मुस्ताजिर कहता है दो महीने के लिये मैंने दस रूपये किराये पर मकान लिया और मालिक कहता है 'एक माह के लिए बीस रूपये पर अगर दोनों गवाह पेश करें तो जिसके गवाह ज़्यादा बताते हैं उसकी बात मोअ्तबर है यानी दो माह के लिये बीस रूपये इजारा क़रार दिया जाये और अगर कुछ मुद्दत तक इन्तिफ़ाअ् (फ़ायदा उठाने) के बाद इख़्तिलाफ़ हुआ या कुछ मुसाफ़त तय कर लेने के बाद इख़्तिलाफ़ हुआ तो दोनों पर हल्फ़ देकर आइन्दा के लिये इजारा फ़स्ख़ कर दिया जाये और गुज़िश्ता के मुताल्लिक़ मुस्ताजिर का क़ौल माना जाये। (ख़ानिया)

मसअ्ला.10:– मालिक मकान के गवाहों से साबित किया कि यह मकान तीन माह के लिये तीन रूपये महीना किराये पर दिया है और मुस्ताजिर कहता है छः माह के लिये एक रूपया महीना किराये पर लिया है और यह भी गवाह पेश करता है तो तीन महीने का किराया नौ रूपये देना होगा और तीन महीने का किराया तीन रूपये एक रूपया माहवार किराया देना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– कितना हिस्सा मकान का किराये पर दिया है उसमें इख़्तिलाफ़ है और मकान में रहने से क़ब्ल यह इख़्तिलाफ़ हुआ तो दोनों पर हल्फ़ होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– उजरत क्या चीज़ थी उसमें इख़्तिलाफ़ है या उजरत अज़ क़बीले नक़्द है उसकी

सिफ़त इख़्तिलाफ़ है दोनों पर हल्फ़ है और अगर उजरत ग़ैर नुकूद से हो तो उसकी मिक़दार या जिन्स में इख़्तिलाफ़ की सूरत में दोनों पर क़सम है और अगर उसकी सिफ़त में इख़्तिलाफ़ है तो मुस्ताजिर की बात क़सम के साथ मोअ्तबर है। (आलमगीरी)

इजारा फ़स्ख़ करने का बयान

मसअ्ला.1:– इजारे में ख़्यारे शर्त हो सकता है लिहाज़ा मुस्ताजिर ने इजारे में तीन दिन का ख़्यार अपने लिये रखा तो अन्दुरूने मुद्दत इजारे को फ़स्ख़ कर सकता है। मकान किराये पर लिया था और मुद्दत के अन्दर उसमें सुकूनत की ख़्यार जाता रहा। अब फ़स्ख़ नहीं कर सकता। (आलमगीरी)
मसअ्ला.2:– मालिक मकान ने अपने लिये ख़्यारे शर्त रखा था और अन्दुरूने मुद्दत मुस्ताजिर उस मकान में रहा, उसका किराया उसके ज़िम्मे लाज़िम नहीं। (आलमगीरी)
मसअ्ला.3:– मुस्ताजिर को तीन दिन का ख़्यार था उसने तीसरे दिन इजारे को फ़स्ख़ कर दिया तो दो दिन का किराया उसके ज़िम्मे लाज़िम नहीं। (रद्दुल'मोहतार)
मसअ्ला.4:– इजारे में ख़्यारे रोयत (चीज़ को देख लेने का इख़्तेयार) भी हो सकता है। जिस मकान को किराये पर लिया उसको किरायेदार ने देखा नहीं है तो देखने के बाद इजारा फ़स्ख़ करने का उसे ख़्यार हासिल है और अगर पहले किसी वक़्त में उस मकान को देख चुका है तो ख़्यारे रोयत नहीं मगर जबकि उसमें कोई हिस्सा मुन्हदिम होगया है जो सुकूनत के लिये मुज़िर है तो अब देखने के बाद इजारे को फ़स्ख़ कर सकता है। (आलमगीरी) यह हम पहले बयान कर चुके हैं कि जिन कामों में महल (जगह) के इख़्तिलाफ़ से इख़्तिलाफ़ होता है उनमें चीज़ को देखने के बाद अजीर (किराये पर लेने वाले) को इख़्तियार होता है जैसे कपड़े का धोना या सीना।
मसअ्ला.5:– रुई धुनने के लिए नद्दाफ़ (रुई धुन्ने वाले) से तय किया कि इतनी रुई की यह मज़दूरी होगी उसको देखने के बाद नद्दाफ़ को इख़्तियार नहीं होगा। हाँ अगर तय करने के वक़्त उसके पास रुई ही नहीं है तो इजारा सही ही न हुआ। यूँही धोबी से थान धोने के लिये तय किया और थान उसके पास नहीं है तो इजारा जाइज़ नहीं है। (आलमगीरी)
मसअ्ला.6:– इजारे में मुस्ताजिर को ख़्यारे ऐब (चीज़ में ऐब पाये जाने पर छोड़ देने का इख़्तेयार) भी होता है। जिस तरह बैअ् में मुश्तरी को ख़्यारे ऐब होता है मगर बैअ् में अगर क़ब्ज़ा करने के बाद ऐब ज़ाहिर हुआ तो जब तक राज़ी न हो या क़ाज़ी हुक्म न दे दे मुश्तरी (ख़रीदार) वापस नहीं कर सकता और क़ब्ज़े से क़ब्ल तन्हा मुश्तरी वापस करने का इख़्तियार रखता है, और इजारे में क़ब्ज़े से पहले और बाद दोनों सूरतों में मुस्ताजिर वापस करने का इख़्तियार रखता है, न मालिक की रज़ा'मन्दी की ज़रूरत है, न क़ाज़ी के हुक्म की ज़रूरत है। (आलमगीरी)
मसअ्ला.7:– मकान किराये पर लिया और उसमें कोई ऐब है जो सुकूनत के लिये ज़रर'रसाँ(हानिकारक) है मसलन उसकी कोई कड़ी टूटी हुई है या इमारत कमज़ोर है तो वापस कर सकता है। (आलमगीरी)
मसअ्ला.8:– मुस्ताजिर ने बा'वजूद ऐब के उससे नफ़ा उठाया तो पूरी उजरत देनी होगी यह नहीं हो सकता कि नुक़सान के मुक़ाबिल में कुछ उजरत कम करे और अगर मालिक ने चीज़ में जो कुछ नुक़सान था उसे ज़ाइल, ख़त्म कर दिया मसलन मकान टूटा, फूटा था ठीक करा दिया तो अब मुस्ताजिर को फ़स्ख़ करने का इख़्तियार न रहा। (हिदाया)
मसअ्ला.9:– बैल किराये पर लिया था कि उससे रोज़ाना इतना खेत जोता जायेगा या चक्की में इतना आटा पीसा जायेगा, अब देखा तो इस बैल से इतना काम नहीं हो सकता मुस्ताजिर को इख़्तियार है कि उसे रखे या वापस करदे अगर रखेगा तो पूरी उजरत देनी होगी, वापस करेगा जब भी उस दिन का किराया देना होगा। (आलमगीरी)
मसअ्ला.10:– चन्द क़तआते ज़मीन (कुछ ज़मीन के टुकड़े) एक अक़्द से इजारे पर लिये और बाज़ को देखा ना'पसन्द आया, सब का इजारा फ़स्ख़ कर सकता है क्योंकि यहाँ एक ही अक़्द है। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.11:– जिस इजारे में मुस्ताजिर को अपनी कोई चीज़ बिग़ैर एवज़ हलाक करना होता है बिग़ैर उज़्र भी मुस्ताजिर को ऐसा इजारा फ़स्ख़ करने का इख़्तियार हासिल होता है मस्लन किताबत यानी लिखने पर इजारा किया तो लिखवाने वाले को काग़ज़ और कातिब को रोशनाई ख़र्च करनी होगी या ज़राअत (खेती) के लिये ज़मीन को इजारे पर लिया है। खेत बोने में ग़ल्ला ज़मीन में डालना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– जिस ग़र्ज़ के लिये इजारा हुआ वह ग़र्ज़ ही बाक़ी न रही या शरअ़न ऐसा उज़्र पैदा होगया कि अक़्दे इजारे पर अ़मल न होसके तो इन सूरतों में इजारा बिग़ैर फ़स्ख़ किये ख़ुद ही फ़स्ख़ होजायेगा। मस्लन किसी अ़ज़ू में ज़ख़्म है जो सरायत कर रहा है अन्देशा है कि अगर इस अ़ज़ू को न काटा गया तो ज़्यादा ख़राबी पैदा होजायेगी, या दाँत में दर्द था और जर्राह या डॉक्टर से अ़ज़ू काटने या दाँत उखाड़ने के लिये इजारा किया, मगर उसके अ़मल से क़ब्ल ज़ख़्म अच्छा होगया और दाँत का दर्द जाता रहा इजारा फ़स्ख़ होगया, यहाँ शरअ़न अ़मल नाजाइज़ है क्योंकि बिला वजह अ़ज़ू का काटना या दाँत उखाड़ना दुरुस्त नहीं या किसी ने अपने मदयून (क़र्ज़मन्द) की तलाश करने के लिये जानवर किराये पर लिया उसको ख़बर मिली थी कि फ़ुलाँ जगह है या कोई लड़का या जानवर भाग गया है उसको तलाश करने के लिये सवारी किराया की, और जाने से पहले मदयून या वह भागा हुआ ख़ुद ही आगया इजारा फ़स्ख़ होगया कि अब वहाँ जाने का सबब ही बाक़ी न रहा। इसको गुमान हुआ कि मकान की इमारत कमज़ोर होगई है कहीं गिर न पड़े, किसी शख़्स को गिराने के लिए अजीर किया फिर मालूम हुआ कि इमारत में ख़राबी नहीं है इजारा फ़स्ख़ होगया या दावते वलीमा के लिये बावर्ची को खाना पकाने के लिये मुक़र्रर किया और दुल्हन का इन्तिक़ाल होगया इजारा फ़स्ख़ होगया कि इन सूरतों में वह ग़र्ज़ ही बाक़ी न रही, जिसके लिये इजारा किया था। (ख़ानिया)

मसअ्ला.13:– जिस अ़क़्दे इजारे पर अ़मल करना शरअ् के ख़िलाफ़ न हो मगर इजारा बाक़ी रखने में कुछ नुक़सान पहुँचेगा तो वह ख़ुद ब ख़ुद फ़स्ख़ नहीं होगा बल्कि फ़स्ख़ करने से फ़स्ख़ होगा फिर इसमें दो सूरतें हैं कहीं तो उज़्र ज़ाहिर होगा और कहीं मुश्तबा हालत होगी और अगर उज़्र बिलकुल ज़ाहिर है जब तो वह साहिबे उज़्र ख़ुद ही फ़स्ख़ कर सकता है, और मुश्तबा हालत में हो तो रज़ामन्दी या क़ाज़ी के हुक्म से फ़स्ख़ होगा। (रद्दुल मोहतार, आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– ऐब की वजह से उस वक़्त इजारे को फ़स्ख़ किया जा सकता है जब मनफ़अ़त फ़ौत (फ़ायदा ख़त्म होना) होती हो मस्लन मकान मुन्हदिम होगया, पनचक्की का पानी ख़त्म होगया, खेत के लिये पानी न रहा कि ज़राअत होसके और अगर ऐसा ऐब है कि बिला मुज़र्रत (बिना नुक़सान) मनफ़अ़त हासिल की जा सकती है तो फ़स्ख़ करने के लिये यह उज़्र नहीं मस्लन ख़िदमतगार की एक आँख जाती रही, या उसके बाल गिरगये, या मकान की एक दीवार गिरगई मगर सुकूनत के लिये मुज़िर नहीं(आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– थोड़ा सा पानी है कि तमाम खेतों की आबपाशी नहीं कर सकता मज़ारेअ् को इख़्तियार है अगर चाहे कुल का इजारा फ़स्ख़ करदे। और नहीं फ़स्ख़ किया तो उस पानी से जितने खेत की आबपाशी कर सकता है उनका लगान वाजिब है बाक़ी का नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– पनचक्की का पानी बन्द होगया और वह पनचक्की वाला मकान सुकूनत के क़ाबिल भी है जिसमें किरायेदार की सुकूनत रही और अ़क़्दे इजारे में सुकूनत भी दाख़िल थी तो अगरचे चक्की का किराया नहीं देना होगा मगर सुकूनत का किराया देना होगा यानी किराये का जितना हिस्सा सुकूनत के मुक़ाबिल है वह देना होगा। (रद्दुल मोहतार, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– मकान की मरम्मत उसकी छत पर मिट्टी डलवाना, खपरैल छवाना, परनाला दुरुस्त कराना, ज़ीना दुरुस्त कराना, रोशनदान में शीशा लगाना और मकान के मुताल्लिक़ हर वह चीज़ जो सुकूनत के मुख़िल (ख़लल डालने वाली) हो ठीक करना मालिक मकान के ज़िम्मे है। अगर मालिक मकान ठीक न कराये तो किरायेदार मकान छोड़ सकता है, हाँ अगर ब वक़्ते इजारा मकान उसी

हालत में था और देख भाल कर किराये पर लिया तो फ़स्ख़ नहीं कर सकता कि किरायेदार उन उयूब पर राज़ी होगया। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअला.18:– किराये के मकान में कुआँ है, उसमें से मिट्टी निकलवाने की ज़रूरत है, मिट्टी पट जाने की वजह से पानी नहीं देता, या मरम्मत कराने की ज़रूरत है, यह भी मालिक के ज़िम्मे है। मगर मालिक उन कामों पर मजबूर नहीं किया जा सकता और अगर किरायेदार ने उन कामों को खुद कर लिया, तो तबर्रोअ़ है मालिक से मुआवज़ा नहीं ले सकता, न किराये से यह मसारिफ़ वज़ा कर सकता है यह अल'बत्ता है कि अगर मकान वाला इन कामों को न करे तो यह मकान छोड़ सकता है चह'बचह (छोटा हौज़) या नालियों को साफ़ कराना किरायेदार के ज़िम्मे है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.19:– किरायेदार ने मकान ख़ाली करदिया, देखा गया, तो मकान में मिट्टी, ख़ाक, धूल राख, पड़ी हुई है उनको उठवाना और साफ़ कराना किरायेदार के ज़िम्मे है और चह'बचह पटा पड़ा है तो उसको ख़ाली कराना किरायेदार के ज़िम्मे नहीं। (रद्दुल'मोहतार)

मसअला.20:– दो मकान एक अक़्द में किराये पर लिये थे उनमें से एक गिर गया, किरायेदार दूसरे को भी छोड़ सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.21:– मालिक मकान के ज़िम्मे दैन है जिसका सुबूत गवाहों से हो, या खुद उसके इक़रार से और उस मकान के सिवा दूसरा माल नहीं जिससे दैन अदा किया जाये तो इजारा फ़स्ख़ करके उस मकान को बेचकर दैन अदा किया जायेगा। यूँही अगर मालिक मकान मुफ़लिस होगया उसके लिये और बाल बच्चों के लिए कुछ खाने को नहीं है उस मकान को बेच सकता है। क़ाज़ी इस बैअ़ के निफ़ाज़ का हुक्म देगा उसी के ज़िम्न में इजारा फ़स्ख़ होजायेगा। इसके लिए दूसरे हुक्म की ज़रूरत नहीं। (रद्दुल'मोहतार, दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.22:– मालिक मकान पेशगी किराया ले चुका है और वह इतना है कि मकान की क़ीमत को मुस्तग़रक़ है तो अगरचे उसके ज़िम्मे दुयून (क़र्ज़) हों उनके अदा करने के लिये मकान नहीं बेचा जायेगा और इजारा फ़स्ख़ नहीं किया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.23:– दुकानदार मुफ़लिस होगया कि तिजारत नहीं कर सकता, दुकान का इजारा फ़स्ख़ करने के लिये उज़्र है कि दुकान को किराये पर रखकर अब क्या करेगा। इसी तरह जो दर्ज़ी अपना कपड़ा सीकर बेचता है जैसा कि शहरों में इस क़िस्म के दर्ज़ी भी हैं जो सदरी वग़ैरा सीकर बेचा करते हैं उसका मुफ़लिस होजाना भी दुकान का इजारा फ़स्ख़ करने के लिये उज़्र है और जो दर्ज़ी दुकान पर दूसरों के कपड़े सीते हैं उनके लिये सुई और क़ैंची के सिवा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। उनका मुफ़लिस होजाना फ़स्ख़ इजारे के लिये उज़्र नहीं है हाँ अगर लोगों में इसकी ख़्यानत मशहूर होगई हो और कपड़े देने से गुरेज़ करते हों कि अगर हज़्म कर गया तो उसके पास माल भी नहीं है जिससे तावान वसूल करें तो अब दुकान छोड़ने के लिए उज़्र होगया। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.24:– जिस बाज़ार में दुकान है वह बाज़ार बन्द होगया कि वहाँ अब तिजारत हो ही नहीं सकती, यह भी दुकान छोड़ने के लिये उज़्र है और अगर बाज़ार चालू है मगर यह दुकानदार दूसरी दुकान में मुन्तक़िल होना चाहता है जो इससे ज़्यादा कुशादा है, या उसका किराया कम है और उस दुकान में भी यही काम करेगा जो यहाँ कर रहा है तो दुकान नहीं छोड़ सकता और अगर दूसरा काम करना चाहता है इस लिये उसको छोड़कर दूसरी दुकान में जाना चाहता है और यह काम पहली दुकान में नहीं होसकता तो उज़्र है और पहली में भी होसकता है तो उज़्र नहीं है। (रद्दुलमोहतार)

मसअला.25:– न दुकानदार मुफ़लिस हुआ न बाज़ार बन्द हुआ बल्कि वह अब यह काम करना ही नहीं चाहता कि दुकान की ज़रूरत हो, यह भी दुकान छोड़ने के लिये उज़्र है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.26:– किरायेदार अब दूसरे शहर में जाना चाहता है यहाँ की सुकूनत तर्क करना चाहता है कि अकसर मुलाज़िमत पेशा को पेश आता है कि कभी एक शहर में रहे, फिर दूसरे शहर को चले

गये, यह फ़स्ख़े इजारे के लिये उ़ज़्र है और मालिक मकान परदेस जाना चाहता है तो उसकी जानिब से इजारे को फ़स्ख़ नहीं किया जा सकता कि इसकी जानिब से यह उ़ज़्र नहीं है और अगर मालिक मकान यह कहता है कि किरायेदार ने मकान छोड़ने का यह हीला तराशा है, वह परदेस नहीं जाना चाहता तो किरायेदार पर क़सम दी जायेगी कि उसने सफ़र में जाने का मुस्तह़कम, पक्का इरादा कर लिया है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.27:– जिन दो शख़्सों ने अ़क़्दे इजारा किया, उनमें एक की मौत से इजारा फ़स्ख़ हो जाता है जबकि उसने अपने लिये इजारा किया और अगर दूसरे के लिये इजारा किया, मस्लन वकील कि मुवक्किल के लिये इजारा करता है और वसी कि यह यतीम के लिये, या मुतावल्ली वक़्फ़ इनकी मौत से इजारा फ़स्ख़ नहीं होता। (हिदाया)

मसअ्ला.28:– मक्का–ए–मुअ़ज़्ज़मा या मदीना–ए–मुनव्वरा या किसी दूसरी जगह किराये के जानवर पर जा रहा है और सवारी का मालिक मरगया अगर इजारे के फ़स्ख़ का हुक्म दिया जाये तो यह शख़्स बियाबान और जंगल में क्योंकर सफ़र क़तअ़ करेगा और वहाँ क़ाज़ी या ह़ाकिम भी नहीं, कि मय्यित का क़ायम मक़ाम होकर इजारे का हुक्म दे तो जब तक ऐसे मक़ाम पर न पहुँच जाये जहाँ क़ाज़ी वग़ैरा हों उस वक़्त तक इजारा बाक़ी रहेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.29:– आक़ेदैन (दो अ़हद करने वाले) कि मजनून होजाने से इजारा फ़स्ख़ नहीं होता। अगरचे जुनूने मुतबक़ हो यूँही मुर्तद् होने से फ़स्ख़ नहीं होता। (रद्दुलमोहतार, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.30:– जिस चीज़ को इजारे पर लिया था मुस्ताजिर उसका मालिक होगया इजारा जाता रहा मस्लन मालिक ने उसे चीज़ हिबा करदी है या उसने ख़रीदली या किसी त़रह उसकी मिल्क में आगई। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.31:– मालिक के मरने के बाद किरायेदार मकान में रहता रहा तो जब तक वारिस मकान ख़ाली करने के लिये न कहेगा या दूसरी उजरत का मुत़ालबा न करेगा इजारा फ़स्ख़ होना ज़ाहिर न होगा अगर वारिस ने ख़ाली करने को कहा, मालूम हुआ कि उस अ़क़्द पर राज़ी नहीं है और अगर दूसरी उजरत त़लब की जब भी मालूम हुआ कि अ़क़्दे साबिक़ के हुक्म को तोड़ना चाहता है और जदीद अ़क़्द करना चाहता है लिहाज़ा वारिस के कहने से पहले या ख़ाली करने को जो कहा है उससे पहले जितने दिन रहा, उसी ह़िसाब से उजरत देगा जो मूरिस से त़य हुई और उसके कहने के बाद जितने दिन रहेगा उसकी उजरते मिस्ल वाजिब होगी। (रद्दुलमोहतार, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.32:– मालिक ज़मीन मरगया और खेत अभी तैयार नहीं है तो वही उजरत दी जायेगी जो त़य हो चुकी है और अगर मुद्दते इजारा ख़त्म होचुकी और फ़सल तैयार नहीं हुई तो जब तक खेत नहीं कटेगा उस वक़्त तक की उजरते मिस्ल दिलाई जायेगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.33:– मालिक के मरने के बाद वारिस् और मुस्ताजिर इजारा–ए–साबिक़ा के बाक़ी रहने पर राज़ी होजायें यह जाइज़ है यानी तआ़त़ी के त़ौर पर इनके माबैन उसी उजरते साबिक़ा पर जदीद इजारा क़रार पायेगा यह नहीं कि वही पहला इजारा बाक़ी रहे क्योंकि वह तो मालिक के मरने से ख़त्म होगया। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.34:– दो मूजिर हैं या दो मुस्ताजिर, इनमें से एक मरगया तो जो मरगया उसके ह़िस्से का इजारा फ़स्ख़ है और जो ज़िन्दा है उसके ह़िस्से में इजारा बाक़ी है और अगरचे यहाँ शुयूअ़ पैदा हो गया मगर चूँकि त़ारी है इजारे के लिए मुज़िर नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.35:– आज कल लोग दवामी इजारा करते हैं जिसका मत़लब यह है कि वह इजारा मूजिर व मुस्ताजिर के वुरसा में मुन्तक़िल होता रहेगा। मौत से भी वह फ़स्ख़ न होगा यह इजारा फ़ासिद है। इसी त़रह इजारे में ऐसे शराइत़ ज़िक्र किये जाते हैं जो मुक़तज़ा–ए–अ़क़्द के मुख़ालिफ़ होते हैं वह इजारे फ़ासिद हैं।

मसअ्ला.36:– इस ज़माने में इजारे की एक सूरत यह भी पाई जाती है कि इजारे का एक मोअ्तदबिह (लम्बा ज़माना) ज़माना गुज़र जाने के बाद मुस्ताजिर उस चीज़ पर ज़बरदस्ती क़ाबिज़ हो जाता है कि मालिक चाहे भी तो तख़्लिया नहीं करा सकता इसकी मिसाल काश्तकारी की ज़मीन है कि मालिक ज़मीन यानी ज़मीनदार काश्तकार से अपनी ज़मीन को वापस नहीं ले सकता न किसी के मरने से यह इजारा फ़स्ख़ होता है बल्कि इस इजारे में मीरास् जारी होती है यह शरअ् के ख़िलाफ़ है।

मसअ्ला.37:– इजारा कर लेने के बाद दूसरा शख़्स बहुत ज़्यादा उजरत देने को कहता है या मुस्ताजिर से दूसरा शख़्स कम उजरत पर चीज़ देने को कहता है इजारा फ़स्ख़ करने के लिये यह उज़्र नहीं अगरचे वह बहुत ज़्यादा देता हो या यह बहुत कम उजरत माँगता हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.38:– सवारी का जानवर किराया पर किया था उसके बाद खुद एक जानवर ख़रीद लिया यह उज़्र है और इजारा फ़स्ख़ किया जा सकता है और अगर इससे बेहतर सवारी किराये पर लेना चाहता है यह फ़स्ख़ के लिये उज़्र नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.39:– काश्तकार ने ज़राअ़त के वास्ते खेत लिये थे और बीमार होगया कि खेती नहीं कर सकता अगर वह खुद अपने हाथ से काश्त करता है तो बीमारी फ़स्ख़े इजारे के लिये उज़्र है और अगर अपने हाथ से नहीं करता तो उज़्र नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.40:– एक शख़्स जो काम करता है उसी काम के लिये किसी से इजारा किया कि मैं तुम्हारा यह काम करूँगा अब वह शख़्स इस काम को बिल्कुल छोड़ देना चाहता है फ़स्ख़े इजारे के लिए यह उज़्र नहीं, हाँ अगर वह ऐसा हो जो इसके लिए मायूब (ऐबदार) समझा जाता है मस्लन एक इज़्ज़तदार शख़्स ने ख़िदमतगारी की नौकरी की और अब उस काम ही को छोड़ना चाहता है तो यह उज़्र है। (आलमगीरी)

इजारा के मुतफ़र्रिक़ मसाइल

मसअ्ला.1:– मोची को जूते बनाने के लिये अपने पास से चमड़ा दिया और उसकी पैमाइश देदी और यह बतादिया कि कैसा होगा और कहदिया कि अस्तर और तला अपने पास से लगा देना और उजरत भी तय होगई। यह जाइज़ है, और दर्ज़ी को अबरे का कपड़ा देदिया, और कह दिया कि अपने पास से अस्तर वग़ैरा लगादेना इसमें दो रिवायतें हैं एक यह कि जाइज़ है दूसरी यह कि ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– कभी बाज़ लोग अजीर से यूँ काम कराते हैं कि तुम यह काम करो, इसकी उजरत जो कुछ दूसरे लोग बता देंगे मैं देदूँगा या फुलाँ के यहाँ जो उजरत मिली है मैं दे दूँगा यह इजारा फ़ासिद है कि उजरत का तअय्युन नहीं हुआ फिर अगर किसी शख़्स ने दोनों के इत्तिफ़ाक़ से उसकी मज़दूरी जाँचकर बताई जिसपर अजीर राज़ी नहीं है तो उजरते मिस्ल दीजायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– ज़मीने इजारा में सेठे वग़ैरा ऐसी चीज़ें थीं जिनको काटने के बाद जो जड़ें बाक़ी रह गई हैं उनमें आग देदी जाती है उसने आग देदी और उससे दूसरे लोगों का नुक़सान हुआ मस्लन आग उड़कर किसी के खेत में गई और उसका खेत जलगया मगर उस वक़्त हवा चल रही थी तो आग देने वाले पर तावान है और अगर हवा नहीं थी उस वक़्त उसने आग दी, बाद में हवा चलगई और दूसरे की चीज़ को नुक़सान पहुँचा तो उसपर तावान नहीं। आरियत की ज़मीन का भी यही हुक्म है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– शबे बरात में या दूसरे मौक़े पर बाज़ लोग मरे छछूंदर (एक क़िस्म की आतिशबाज़ी) या और इसी क़िस्म की आतिशबाज़ियां छोड़ते हैं, यह फ़ेल हराम सर्फ़े बेजा (बेकार का ख़र्च) है इससे कभी कभी यह नुक़सान भी पहुँच जाता है कि छप्परों में आग लगजाती है या किसी के कपड़े जल जाते हैं बल्कि कभी जानें भी तल्फ़ होजाती हैं उस शख़्स पर तावान लाज़िम होगा कि जब वह आतिशबाज़ी उड़ने वाली है और उसने छोड़ी तो वैसा ही है जैसा हवा चलने के वक़्त किसीने आगदी।

मसअ्ला.5:– अगर उड़कर इतनी ही दूर पहुँची कि इतनी दूर आदतन उड़कर नहीं पहुँचती और नुक़सान हुआ तो तावान नहीं। (रद्दुल'मोहतार)

मसअ्ला.6:– रास्ते में आग का अंगारा डाल दिया या ऐसी जगह डाला कि वहाँ डालने का उसको हक़ न था और नुक़सान हुआ तो तावान है मगर जबकि वहाँ रखने से नुक़सान नहीं हुआ बल्कि हवा उड़ाकर लेगई और किसी को नुक़सान पहुँचा तो तावान नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– लोहार ने भट्टी से लोहा निकालकर कूटा उसके कूटने से चिंगारी उड़ी और राहगीर का कपड़ा जल गया लोहार को ज़मान देना होगा इस चिंगारी से किसी की आँख फूट गई, दियत वाजिब होगी और अगर उसने लोहा निकालकर रखा था हवा से चिंगारी उड़ी और किसी चीज़ को जलाया तो तावान नहीं। (रद्दुल'मोहतार, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– अपने खेत में पानी ज़्यादा दिया कि ज़मीन बरदाश्त न कर सकी वह दूसरे खेत में पहुँचा, और उसका नुक़सान होगया तावान देना होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– दर्ज़ी या किसी काम करने वाले ने अपनी दुकान पर दूसरे को बिठा लिया कि जो काम मेरे पास आये, वह तुम करो और उजरत को हम दोनों निस्फ़ निस्फ़ कर लेंगे, यह ना'जाइज़ है। (हिदाया) यह भी हो सकता है कि जिसको बिठाया है वह एक काम करता है और ख़ुद दूसरा काम करता है मस्लन रंगरेज़ ने अपनी दुकान पर दर्ज़ी को बिठालिया। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– जम्माल (शुत्रबान) से मक्का–ए–मुअज़्ज़मा या कहीं जाने के लए ऊँट किराया किया कि उस पर महमल रखा जायेगा और दो शख़्स बैठेंगे यह इजारा जाइज़ है। ऐसा महमल ऊँट पर रखा जायेगा जो वहाँ का उर्फ़ है और अगर इजारा करते वक़्त ही उसे महमल दिखाया जाये तो बेहतर है, यह बात जम्माल के ज़िम्मे है कि महमल को ऊँट पर लादे और उतारे, ऊँट को हांके, या नकेल पकड़कर चले, पाख़ाना, पेशाब या वुज़ू और नमाज़े फ़र्ज़ के लिये सवार को उतरवाये। औरत और मरीज़ और बूढ़े के लिये ऊँट को बिठाये। (रद्दुल'मोहतार, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– तोशा वग़ैरा सामाने सफ़र के लिये ऊँट किराया किया और रास्ते में सामाने सफ़र ख़र्च किया तो जितना ख़र्च किया है, उतना ही दूसरा सामान उसी क़िस्म का उसपर रख सकता है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– ग़ासिब से कहदिया कि मेरा मकान ख़ाली करदे, वरना इतने रूपये माहवार उसकी उजरत देनी होगी अगर उसने ख़ाली न किया तो उस उजरत का मुतालबा होसकता है कि उसका सुकूनत करना, उजरत क़बूल कर लेना है मगर जबकि ग़ासिब ने उसके जवाब में यह कहदिया कि यह मकान तुम्हारा नहीं है, या मिल्क का इक़रार किया मगर उजरत देने से इन्कार कर दिया तो उजरत वाजिब नहीं होगी हाँ अगर वह मकान वक़्फ़ है या यतीम का है, या किराये पर ही देने के लिये है तो ग़ासिब अगरचे उजरत देने से इन्कार करे, उसे किराया देना होगा। (रद्दुलमोहतार, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.13:– ज़मीन जो काश्तकार के पास है और उसे नहीं छोड़ता और मालिक यह चाहता है कि अगर यह छोड़ दे, तो मैं दूसरे को ज़्यादा लगान पर देदूँगा। मालिक उससे यह कह सकता है कि अगर तूने ख़ाली नहीं की तो इतना लगान लूँगा, इस सूरत में यह इज़ाफ़ा उसके लिये जाइज़ होजायेगा।

मसअ्ला.14:– काम करने वाले ने कह दिया कि इस उजरत पर काम नहीं करूंगा मैं इतना लूँगा और काम कराने वाला ख़ामोश रहा वही उजरत देनी होगी जो कारीगर ने बताई फिर उजरत देने के वक़्त जब अजीर ने ज़्यादा का मुतालबा किया और यह कहा कि मैं कह चुका था कि मैं इतने पर नहीं करूंगा और काम लेनेवाला कहता है, मैंने नहीं सुना था कि तूने यह कहा, अगर यह शख़्स बहरा है तो ख़ैर वरना उसी मज़दूर की बात मक़बूल होगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.15:– मुस्ताजिर किराये की चीज़ दूसरे को किराये पर दे सकता है मस्लन एक मकान किराये पर लिया और दूसरे को किराये पर देदे, यह होसकता है या ज़मीन ज़राअत के लिये लगान पर ली दूसरे काश्तकार को लगान पर देदे यह हो सकता है जैसा कि अकसर बड़े शहरों में एक

शख़्स पूरा मकान किराये पर लेकर दूसरे लोगों को एक एक हिस्सा किराये पर देता है या देहात में काश्तकार ज़मीन दूसरों को दिया करते हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– मुस्ताजिर ख़ुद मालिक को चीज़ किराये पर दे यह जाइज़ नहीं अगरचे बिल'वास्ता हो मस्लन ज़ैद ने अपना मकान अम्र को किराये पर दिया, अम्र ने बकर को दिया, बकर यह चाहे कि ज़ैद को किराये पर देदूँ यह नहीं होसकता रहा यह कि मालिक को किराये पर देने से वह पहला इजारा जो मालिक और मुस्ताजिर के माबैन है, बाक़ी रहेगा, या फ़स्ख़ होजायेगा फ़तवा इस पर है कि वह इजारा ब'दस्तूर जारी रहेगा फ़स्ख़ नहीं होगा, मगर वह चीज़ जितने ज़माने तक इस सूरत में मालिक के पास रहेगी उस मुद्दत का किराया मुस्ताजिर के ज़िम्मे वाजिब नहीं होगा। (रद्दुल'मोहतार, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– एक शख़्स ने दूसरे को इजारे पर लेने को वकील किया, वकील ने इजारा किया और मालिक ने वह मकान वकील को सिपुर्द कर दिया मगर वकील ने एक मुद्दत तक मुवक्किल को नहीं दिया और मुवक्किल ने वकील से माँगा भी नहीं तो मालिक मकान वकील से किराया वसूल करेगा क्योंकि अक़्द के हुक़ूक़ वकील ही के ज़िम्मे होते हैं और वकील मुवक्किल से वसूल करेगा। क्योंकि वकील का क़ब्ज़ा मुवक्किल ही का क़ब्ज़ा है और अगर मुवक्किल ने वकील से तलब किया वकील ने कहा कि पेशगी उजरत देदो तो मकान पर क़ब्ज़ा दूँगा और मुवक्किल ने न उजरत दी न वकील ने क़ब्ज़ा दिया तो इस सूरत में वकील ने किराया जो दिया है। मुवक्किल से वसूल नहीं कर सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.18:– मुफ़्ती फ़तवा लिखने की, यानी तहरीर व किताबत की उजरत ले सकता है, नफ़्से फ़तवे की उजरत नहीं ले सकता इसका मतलब यह है कि काग़ज़ पर इतनी इबारत किसी दूसरे से लिखवाओ तो जो कुछ उजरत उरफन दीजाती है वह मुफ़्ती भी ले सकता है क्योंकि मुफ़्ती के ज़िम्मे ज़बानी जवाब देना वाजिब है लिखकर देना वाजिब नहीं मगर उजरते तहरीर लेने से भी अगर मुफ़्ती परहेज़ करे तो यही बेहतर, कि ख़्वाह मख़्वाह लोगों को चेह मिगोईयाँ करने का मौक़ा मिलेगा। (दुर्रेमुख़्तार) लोग यह कहेंगे कि फ़तवे की उजरत ली और फ़ुलाँ शख़्स रूपये लेकर फ़तवा देता है वग़ैरा वग़ैरा इससे नज़रे अवाम में फ़तवे की बेवक़अ़ती होती है और मुफ़्ती की भी बेइज़्ज़ती है और उलमा को ख़ुसूसियत के साथ ऐसी बातों से एहतिराज़ करना (बचना) चाहिए ख़ुसूसन इस ज़माने में कि जाहिल मौलवियों ने इस क़िस्म के रकीक अफ़आल करके उलमा को बदनाम कर रखा है। उनके अफ़आल को उलमा के अफ़आल क़रार देकर तब्क़–ए–उलमा को बदनाम किया जाता है।

मसअ्ला.19:– उजरत पर ख़त लिखवाना जाइज़ है जबकि काग़ज़ की मिक़दार और कितना लिखा जायेगा यह बयान कर दिया हो। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.20:– मुस्ताजिर पर दावा नहीं हो सकता कि हमने यह चीज़ ख़रीदी है या इजारे पर ली है या हमारे पास रहन रखी गई है लिहाज़ा हमको यह चीज़ मिलनी चाहिए क्योंकि मुस्ताजिर मालिक नहीं है कि उस पर ऐन का दावा हो सके। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.21:– इजारा या फ़स्ख़े इजारे की इज़ाफ़त ज़मान–ए–मुस्तक़बिल की तरफ़ हो सकती है, कह सकता है कि आइन्दा महीने के शुरू से तुमको इजारे पर दिया, या ख़त्म माह से इजारा फ़स्ख़ कर दिया। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.22:– किराया पेशगी देदिया है और इजारा फ़स्ख़ किया गया तो मुस्ताजिर उस चीज़ को रोक सकता है जब तक अपनी कुल रक़म वसूल न करले इजारा सही व फ़ासिद दोनों का यही हुक्म है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.23:– किसी की कोई चीज़ गुम होगई उसने किसी से कहा कि अगर तुम मुझे यह बता दो कि कहाँ है तो इतना दूँगा अगर यह शख़्स उसके साथ चलकर गया और बता दिया तो उसको वहाँ तक जाने की उजरते मिस्ल मिलेगी और अगर यहीं से बता दिया कि तुम्हारी चीज़ फ़ुलाँ जगह

है उसके साथ गया नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा और अगर किसी ख़ास शख़्स से नहीं कहा, बल्कि आम तौर पर कहा कि जो कोई मुझे बतादे, उसको इतना दूँगा यह इजारा बातिल है बताने वाला किसी चीज़ का मुस्तहिक़ नहीं है और अगर उसे यह मालूम है कि मेरा जानवर या मेरी चीज़ फुलाँ जगह है मगर उस जगह को कोई नहीं पहचानता और उस जगह के बताने पर उजरत मुक़र्रर की तो इस सूरत में बताने वाले को वह उजरत मिलेगी जो मुक़र्रर की है। (रद्दुल मोहतार, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.24:– जो चीज़ उजरत पर दीगई जब उसके इजारे की मुद्दत पूरी होजाये तो मुस्ताजिर के यहाँ से चीज़ वापस लाना मालिक के ज़िम्मे है मुस्ताजिर के ज़िम्मे यह नहीं कि वह चीज़ पहुँचाये और आरियत के तौर पर दी तो वापस करना मुस्तईर का काम है। चक्की उजरत पर एक महीने को आटा पीसने के लिये लेगया तो चक्की का मालिक मुस्ताजिर के यहाँ से लायेगा और अगर मुस्ताजिर बैरूने शहर (शहर से बाहर) मालिक की इजाज़त से लेगया जब भी मालिक ही वहाँ से वापस लायेगा। (आलमगीरी) जैसाकि गाँव वाले गुड़ बनाने के लिये शहर से कढ़ाओ और कोल्हू किराये पर लेजाते हैं और मालिक से कह देते हैं कि फुलाँ गाँव में हम लेजायेंगे इनकी वापसी और उसके मसारिफ़ (ख़र्चे) मालिक के ज़िम्मे हैं।

मसअ्ला.25:– घोड़ा सवारी के लिये किराये पर लिया उसकी वापसी भी मालिक के ज़िम्मे है अगर मालिक उसके यहाँ से नहीं लाया और मुस्ताजिर के यहाँ हलाक होगया, उसके ज़िम्मे तावान नहीं है अगरचे मालिक ने कहला भेजा हो कि इसे वापस कर जाओ और अगर किसी जगह की आमदो रफ़्त के लिये किराये पर लिया है तो मुस्ताजिर को यहाँ तक लाना होगा क्योंकि उसकी मुसाफ़त यहाँ पहुँचने पर पूरी होगी इस सूरत में अगर मुस्ताजिर अपने घर लेकर चला गया और बाँध दिया, जानवर हलाक हुआ तो ज़मान देना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.26:– अजीरे मुश्तरक मस्लन दर्ज़ी, रंगरेज़, धोबी काम करने के बाद चीज़ को दे जायें कि वापस कर जाना, उनके ज़िम्मे है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.27:– जानवर किराये पर लिया है तो उसका दाना, घास, पानी पिलाना, मालिक के ज़िम्मे है और मुस्ताजिर ने अगर जानवर को खिलाया, पिलाया, तो मुतबर्रअ् (नेकी का काम) है मुआवज़ा नहीं पा सकता। खेत की मेंढ़ दुरुस्त कराना मालिक के ज़िम्मे है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.28:– घोड़ा सवारी के लिये किराये पर लिया था रास्ते में वह थक गया किसी शख़्स के सिपुर्द कर दिया कि इसे खिलाओ, पिलाओ, अगर उसको मालूम है कि घोड़ा उसका नहीं है तो जो कुछ ख़र्च करेगा मुतबर्रा है, किसी से नहीं ले सकता और अगर मालूम न हो तो उस कहने वाले से सर्फ़ा वसूल कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.29:– किसी काम पर इजारा मुनअ़क़िद हुआ तो उसके तवाबेअ् (उसके साथ चीज़ों) में उ़र्फ़ का एअ़तिबार है, मस्लन दर्ज़ी को कपड़ा सीने के लिये दिया तो धागा, सुई दर्ज़ी के ज़िम्मे है और अगर उ़र्फ़ यह है कि जिसका कपड़ा है वह तागा देगा तो दर्ज़ी के ज़िम्मे नहीं चुनान्चे हिन्दुस्तान में भी बाज़ जगह का यही उ़र्फ़ है और अकस्र जगह पहला उ़र्फ़ है। ईंटें बनवाईं तो मिट्टी मुस्ताजिर के ज़िम्मे है और सांचा अजीर के ज़िम्मे, और बाज़ जगह सांचा भी मुस्ताजिर देता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.30:– किसी गाँव या मोहल्ला या शहर में जाने के लिये तांगा, यक्का किराये पर लिया तो उसके ज़िम्मे घर तक पहुँचाना है। गाँव या मोहल्ला या शहर में पहुँचा देने पर काम ख़त्म नहीं होगा। (आलमगीरी) लॉरी में यह उ़र्फ़ है कि अड्डे पर जाकर रूक जाती है इसके ज़िम्मे मकान तक पहुँचाना नहीं है हाँ अगर मोटर कार या लॉरी पूरी किराये पर ली है तो उसका काम अड्डे तक या गाँव तक पहुँचाना नहीं है बल्कि घर तक या जहाँ तक जा सकती हो उसे ले जाना होगा कि इस सूरत में यही उ़र्फ़ है।

मसअ्ला.31:– कपड़े धोबी को दिये तो कल्फ़ और नील धोबी के ज़िम्मे है कि इसमें यही उ़र्फ़ है।

जिल्द साज़ को जिल्द बनाने कि लिये किताबें दीं तो पट्ठा, चमड़ा, अबरी, लेई, डोरा यह सब चीज़ें जिल्द साज़ के ज़िम्मे हैं और जिस क़िस्म का सामान लगाना, और जिस क़िस्म की जिल्द बनाना ठहरा वही करना होगा।

मसअ्ला.32:– किसी काम के लिये दो मज़दूर किये मस्लन यह लकड़ियाँ तुम दोनों मेरे मकान तक इतने में पहुंचादो वह कुल लकड़ियाँ एक ही मज़दूर ने पहुँचाईं दूसरा बैठा रहा तो यह मज़दूर निस्फ़ ही उजरत का मुस्तहिक़ है कि दूसरे की तरफ़ से काम करने में मुतबर्रा (नेकी का काम) है लिहाज़ा उसके हिस्से की मज़दूरी का मुस्तहिक़ नहीं हुआ। और दूसरा भी अपने हिस्से की मज़दूरी नहीं ले सकता कि अजीरे मुश्तरक (शिरकत में उजरत पर काम करने वाला) जब तक काम न करे, उजरत का मुस्तहिक़ नहीं होता और अगर दोनों में पहले यह तय है कि हम दोनों शिरकत में काम करेंगे जो कुछ मज़दूरी मिलेगी वह दोनों बांट लेंगे तो दूसरा मज़दूर भी अपनी निस्फ़ मज़दूरी का मुस्तहिक़ है कि उसके शरीक का काम करना ही उसका काम करना है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.33:– चन्द मज़दूर गढ़ा खोदने के लिये या मिट्टी हटाने के लिये रखे, और उस पूरे काम की उजरत तय होगई इन मज़दूरों में से किसी ने काम कम किया, किसी ने ज़ाइद सब पर वह उजरत बराबर तक़सीम होगी हाँ अगर मज़दूरों में बहुत तफ़ावुत है मस्लन बाज़ जवान हैं, बाज़ बच्चे, और बच्चों ने कम काम किया है तो बराबर बराबर तक़सीम नहीं होगी बल्कि इस पूरी उजरत को उजरते मिस्ल पर तक़सीम किया जायेगा। बच्चों को दो आने यौमिया मिलते हैं और जवान को चार आने तो इस उजरत की तक़सीम इस तरह की जाये कि जवान को बच्चे से दूनी मिले और अगर मज़दूरों में से बाज़ ने मर्ज़ या किसी उज़्र की वजह से काम नहीं किया तो यह हिस्सा लेने के हक़दार नहीं हैं मगर जबकि काम करने में इनकी शिरकत हो तो काम न करने की सूरत में भी हिस्सा पायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– किरायेदार के साथ मालिक मकान भी घर में रहता रहा तो किरायेदार उतने हिस्से मकान की उजरत कम कर सकता है जितने में मालिक रहा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.35:– मज़दूर से कहा, फ़ुलाँ जगह से जाकर एक बोरी ग़ल्ला की ले आ इतनी मज़दूरी दूँगा मज़दूर वहाँ गया मगर ग़ल्ला वहाँ था ही नहीं जिसको लाता तो उस मज़दूरी को जाने और आने और बोझ पर तक़सीम किया जाये, जाने के मुक़ाबिल में मज़दूरी का जो हिस्सा पड़े वह मज़दूर को दिया जाये क्योंकि मज़दूर के तीन काम थे वहां जाना, और वहाँ से बोझ लेकर आना, इस सूरत में सिर्फ़ एक काम यानी जाना मज़दूर ने किया, और आना उसका खुद अपना काम है। मुस्ताजिर का काम नहीं है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.36:– मज़दूर को कहीं भेजा कि वहाँ से फ़ुलाँ को बुला लाओ वह गया, और वह शख़्स नहीं मिला, उसको उजरत मिलेगी क्योंकि मज़दूर को जो कुछ इस सूरत में काम करना है यही है कि वहाँ तक जाये वह कर चुका।

विला का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ वजल्ल फ़रमाता है।

"जिन से तुमने मुआ़हिदे किये हैं उनका हिस्सा उन्हें दो बेशक अल्लाह हर चीज़ पर गवाह है"।

हदीस (1) अबू दाऊद ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने "जिसने बिग़ैर इजाज़त अपने मौला के किसी क़ौम से मवालात की उसपर अल्लाह की और फ़िरिश्तों और तमाम इन्सानों की लानत क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला न उसके फ़र्ज़ क़बूल करेगा, न नफ़्ल"।

हदीस (2) इमाम अहमद ने जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि फ़रमाया नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम ने "जिस शख़्स ने अपने मौला के सिवा दूसरे से मवालात की,

उसने इस्लाम का पट्टा अपने गले से निकाल दिया"।

हदीस् (3) त़बरानी व इब्ने अ़दी ने अबू उमामा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम् ने फ़रमाया "जो किसी के हाथ पर ईमान लाये उसकी विला उसी के लिये है"।

हदीस (4) अस़हाबे सुनने अरबअ़ व इमाम अह़मद व ह़ाकिम वग़ैरहुम ने तमीम दारी रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व सल्लम् से इसके मुताल्लिक़ सवाल हुआ कि एक शख़्स़ ने दूसरे के हाथ पर इस्लाम क़बूल किया, फ़रमाया कि वह सब से ज़्यादा ह़क़दार है ज़िन्दगी में भी, और मरने के बाद भी।

मसअ्ला.1:– एक शख़्स़ आ़क़िल, बालिग़ किसी के हाथ पर मुशर्रफ़ ब'इस्लाम हुआ उस नो मुस्लिम ने उससे या किसी दूसरे से मवालात की, यानी यह कहा, कि अगर मैं मर जाऊँ तो वारिस तू है और मुझसे कोई जनायत हो तो दियत तुझे देनी होगी उसने क़बूल कर लिया यह मवालात स़ही है। इसका नाम मौलल मवालात है और दोनों जानिब से भी मवालात होसकती है यानी हर एक दूसरे से, कहे कि तू मेरा वारिस होगा और मेरी जनायत की दियत देगा और दूसरा क़बूल करे उसके लिये शर्त़ यह है कि मौला अ़रब में से न हो। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– ना'बालिग़ मुशर्रफ़ ब'इस्लाम हुआ और उसने मवालात की यह ना'जाइज़ है अगरचे अपने बाप या वस़ी की इजाज़त से की हो और आ़क़िल, बालिग़ ने ना'बालिग़ आ़क़िल से मवालात की और उसके बाप या वस़ी ने इजाज़त देदी हो तो मवालात जाइज़ है। यूँही अगर गुलाम ने मवालात की, तो उसके मौला की इजाज़त पर मौक़ूफ़ है वह जाइज़ कर देगा जाइज़ होगी वरना नहीं। (रद्दुल'मोह़तार)

मसअ्ला.3:– जिस शख़्स़ से उसने मवालात की है अब यह (मौला अस्फ़ल) इस विला को फ़स्ख़ करना चाहता है तो उसकी मौजूदगी में फ़स्ख़ कर सकता है यानी उसको इल्म होजाना ज़रूरी है क्योंकि यह अ़क़्द ग़ैर लाज़िम है। तन्हा फ़स्ख़ कर सकता है दूसरे की रज़ा'मन्दी ज़रूरी नहीं और अगर दूसरे से मवालात करली तो पहली मवालात फ़स्ख़ होगई इसमें इल्म की ज़रूरत नहीं कि दूसरे से अ़क़्द करने ही से पहली मवालात खुद ब'खुद फ़स्ख़ होगई मगर शर्त़ यह है कि उसने उसकी त़रफ़ से दियत अदा न की हो और अगर उसने किसी मुआ़मले में दियत देदी है तो अब न फ़स्ख़ कर सकता है, न दूसरे से मवालात कर सकता है बल्कि उसकी औलाद की त़रफ़ से भी अगर उसने दियत देदी जब भी फ़स्ख़ नहीं कर सकता, न दूसरे से मवालात कर सकता है। (हिदाया)

मसअ्ला.4:– मवालात करने के वक़्त जो उसके बालिग़ बच्चे हैं या उस अ़क़्द के बाद जो पैदा हुए, सब इस विला में दाख़िल हैं। बालिग़ औलादों से इस अ़क़्द का ताल्लुक़ नहीं यानी यह दूसरे से मवालात कर सकते हैं। (रद्दुलमोहतार)

मसअ्ला.5:– मौलल एताक़ा यानी वह गुलाम जिसे मौला (मालिक) ने आजा़द कर दिया है वह दूसरे से मवालात नहीं कर सकता। (हिदाया)

मसअ्ला.6:– मवालात का यह हुक्म है अगर जनायत करे तो दियत लाज़िम होगी और इनमें से कोई मरजाये तो दूसरा वारिस होजाता है मगर उसका मर्तबा तमाम वारिसों से मुअख़्ख़र (बाद) है। जब कोई वारिस न हो यानी ज़विल अरह़ाम भी न हों तो यह वारिस होगा। (हिदाया)

मसअ्ला.7:– औ़रत ने मवालात की या मवालात का इक़रार किया और उसके साथ कोई बच्चा मजहूलुन नसब (जिस का नसब का पता न हो) है या मवालात के बाद पैदा हुआ यह बच्चा भी अ़क़्दे मवालात में दाख़िल है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– मर्द ने इस्लाम क़बूल करके एक शख़्स़ से मवालात की और औ़रत ने इस्लाम लाकर दूसरे से मवालात की तो इन दोनों से जो बच्चा पैदा होगा उसका ताल्लुक़ बाप के मौला से होगा। माँ के मौला से नहीं होगा। (आ़लमगीरी)

अनुवादक
मुह़म्मद अमीनुल क़ादरी
मो0:– 09219132423

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ
(اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا)

किताब को पढ़ने से पहले
इस किताब को स्कैन करने वाले
और इस काम मे हिस्सा लेने वालो के हक़ में

दुआ फरमाएं

अल्लाह अज़्ज़वजल हमारे तमाम
सगीरा व क़बीरा गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाये
और ईमान पर इस्तेक़ामत अता फ़रमाये!

आमीन

बहारे शरीअ़त

पन्द्रहवां हिस्सा

मुसन्निफ़
सदरूश्शरीआ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा
मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर
क़ादरी दारूल इशाअ़त
मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली–53
Mob:–9219132423

जुमला हुकूक बहक़्के नाशिर महफ़ूज़

नाम किताब	बहारे शरीअ़त (पन्द्रहवां हिस्सा)
मुसन्निफ़	सदरुश्शरीअ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमह
हिन्दी तर्जमा	**मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी**
कम्प्यूटर कम्पोज़िंग	रज़ा कम्प्यूटर सेण्टर दो मीनार मस्जिद एजाज़नगर बरेली
क़ीमत जिल्द दोम	750रू0 मुकम्मल 1500रू0
तादाद	1000
इशाअ़त	2010 ई.

मिलने के पते :

1 मकतबा नईमिया ,मटिया महल, दिल्ली।
2 नाज़ बुक डिपो ,मोहम्मद अ़ली रोड़ मुम्बई
3 अलकुरआन कम्पनी ,कमानी गेट,अजमेर।
4 चिश्तिया बुक डिपो दरगाह शरीफ़ अजमेर।
5 क़ादरी दारुल इशाअ़त, 523 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली। 9312106346
6 मकतबा रहमानिया रज़विया दरगाह आ़ला हज़रत बरेली शरीफ़

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلى على رسوله الكريم ط

इकराह का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है।

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ م بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَ قَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ﴾

"जिसने ईमान के बाद कुफ़्र किया (उस पर अल्लाह का ग़ज़ब हो) मगर जो शख़्स मजबूर किया गया और उस का दिल ईमान पर मुत़मइन है (वह अ़ज़ाब से बरी है) व लेकिन जिसने कुफ़्र के लिये सीने को खोल दिया उन पर अल्लाह का ग़ज़ब है, और उनके लिये बहुत बड़ा अ़ज़ाब है"।

हिदाया में है कि यह आयत अ़म्मार इब्ने यासिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा के बारे में नाज़िल हुई जब कि मुश्रिकीन ने कलिमा–ए–कुफ़्र बोलने पर उन्हें मजबूर किया और उन्होंने ज़बान से कह दिया फिर जब हुज़ूर अक़दस सल्ललाहु तआ़ला तआ़ला अ़लैहि वसल्लम क़ी ख़िदमत में ह़ाज़िर हुये। हुज़ूर ने दरयाफ़्त फ़रमाया कि तुमने अपने क़ल्ब को किस ह़ाल पर पाया अ़र्ज़ की मेरा दिल ईमान पर बिलकुल मुत़मइन था इरशाद फ़रमाया कि अगर वह फिर ऐसा करें तो तुम को ऐसा ही करना चाहिए यानी दिल ईमान पर मुत़मइन रहना चाहिए। तफ़्सीरे बैज़ावी शरीफ़ में है कि कुफ़्फ़ारे कुरैश ने अ़म्मार और उनके वालिद यासिर और उनकी वालिदा सुमय्या रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम को इर्तिदाद (ईमान से फिर जाना) पर मजबूर किया उनके वालिदैन ने इन्कार किया उन दोनों को क़त्ल कर डाला और यह दोनों पहले दो शख़्स हैं जो इस्लाम में शहीद किये गये और अ़म्मार रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने ज़बान से वह कह दिया जो कुफ़्फ़ार ने चाहा था किसी ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में अ़र्ज़ की या रसूलल्लह अ़म्मार काफ़िर होगया। फ़रमाया हरगिज़ नहीं, बेशक अ़म्मार चोटी से क़दम तक ईमान से भर पूर है ईमान उसके गोश्त व ख़ून में सरायत किये हुए है इस के बाद अ़म्मार रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु रोते हुए ह़ाज़िरे ख़िदमते अक़दस हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने उनकी आँखों से आँसू पोंछा और फ़रमाया कि तुम्हें क्या हुआ (जो रोते हो) अगर वह फिर ऐसा करें तो तुम वैसा ही करना।

और अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल इरशाद फ़रमाता है।

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ وَ اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ﴾

"मुसलमान मुसलमानों के सिवा काफ़िरों को दोस्त न बनायें और जो ऐसा करेगा वह अल्लाह के दीन से किसी शय में नहीं है मगर यह कि बचाव के त़ौर पर (इकराह की सूरत में ज़बानी दोस्ती का इज़हार कर सकते हो)और अल्लाह तुम को अपनी ज़ात से डराता है और अल्लाह ही की त़रफ़ लौटना है"।

और फ़रमाता है।

﴿وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾

"और अपनी बाँदियों को ज़िना पर मजबूर न करो अगर वह पारसाई का इरादा करें ताकि ज़िन्दगी दुनिया की मताअ़ हासिल करो और जिसने उन्हें मजबूर किया तो इस के बाद कि वह मजबूर की गई अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है"।

मसअ्ला.1:– इकराह जिसको जब्र करना भी लोग बोलते हैं इसके शरई मअ्ना यह हैं कि किसी के साथ नाहक़ ऐसा फ़ेअ्ल करना कि वह शख़्स ऐसा काम करे जिसको वह करना नहीं चाहता और कभी ऐसा भी होता है कि मुकरेह ने कोई ऐसा फ़ेअ्ल नहीं किया जिसकी वजह से मुकरह अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम करे मगर मुकरह जानता है कि यह शख़्स ज़ालिम, जाबिर है जो कुछ

यह कहता है अगर मैंने न किया तो मुझे मार डालेगा इस सूरत में भी इकराह है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमोहतार) मजबूर करने वाले को मुकरेह और जिसको मजबूर किया उस को मुकरह कहते हैं पहली जगह रे को ज़ेर है दूसरी जगह ज़बर।

मसअ्ला.2:– इकराह का हुक्म उस वक़्त मुतहक़्क़क़ (साबित) होता है जब ऐसे शख़्स की जानिब से हो कि वह जिस चीज़ की धमकी दे रहा है उसके कर डालने पर क़ादिर हो जैसे बादशाह या डाकू कि उनके कहने के मुताबिक़ अगर न करे तो यह वह काम कर गुज़रेंगे जिसकी धमकी देरहे हैं(हिदाया)

मसअ्ला.3:– इकराह की दो किस्में हैं एक **ताम** और इस को मुल्जी भी कहते हैं दूसरी **नाक़िस** इस को गै़र मुल्जी भी कहते हैं। **इकराह ताम** यह है कि मार डालने या अ़ज़ू काटने या ज़र्बे शदीद की धमकी दी जाये ज़र्बे शदीद का मत़लब यह है कि जिस से जान या अ़ज़ू के तल्फ़ होने का अन्देशा हो मस्लन किसी स कहता है कि यह काम करो वरना तुझे मारते मारते बेकार कर दूँगा। इकराहे नाक़िस यह है कि जिसमें इस से कम की धमकी हो मस्लन पाँच जूते मारूँगा या पाँच कोड़े मारूँगा या मकान में बन्द कर दूँगा या हाथ पाँव बाँधकर डाल दूँगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

इकराह की शराइत़

मसअ्ला.4:– इकराह की शराइत़ यह हैं।**(1)**मुकरिह उस फ़ेअ्ल के करने पर क़ादिर हो जिसकी वह धमकी देता हो। **(2)**मुकरह यानी जिसको धमकी दीगई उसका ग़ालिब गुमान यह हो कि अगर मैं इस काम को न करूँगा तो जिसकी धमकी दे रहा है उसे कर गुज़रेगा। **(3)**जिस चीज़ की धमकी है वह जान जाना है या अ़ज़ू काटना है या ऐसा ग़म पैदा करना है जिसकी वजह से वह काम अपनी ख़ुशी व रज़ा'मन्दी से न हो। **(4)**जिस को धमकी दी गई वह पहले से उस काम को न करना चाहता हो और उसका न करना ख़्वाह हक़ की वजह से हो मस्लन इस से कहा गया कि तू अपना माल हलाक करदे या बेचदे और यह ऐसा करना नहीं चाहता या किसी दूसरे शख़्स की वजह से इस काम को नहीं करना चाहता मस्लन फुलाँ शख़्स का माल हलाक कर या हक़्क़े शरअ् की वजह से ऐसा नहीं करना चाहता मस्लन शराब पीना, ज़िना करना। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– शर्ते सोम में बयान किया गया कि ऐसा ग़म पैदा होजाये जिसकी वजह से रज़ा'मन्दी से काम करना न हो यह इकराह का अद्ना मरतबा है, और इस में सब लोगों की एक हालत नहीं है शरीफ़ आदमी के लिये सख़्त कलामी ही से यह बात पैदा होजायेगी और कमीना आदमी हो तो जब तक उसे ज़र्बे शदीद की नोबत न आये मअ्मूली तौर पर मारने और गाली देने की भी उसे परवाह नहीं होती। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– इकराह की एक सूरत यह भी है कि ऐसा करो वरना तुम्हारा माल ले लूँगा या हाकिम ने कहा यह मकान मेरे हाथ बैअ् करदो वरना तुम्हारे फ़रीक़ को दिला दूँगा।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.7:– क़त्ल या ज़र्बे शदीद या हब्से मदीद की धमकी दी इस लिये कि वह अपनी कोई चीज़ बेच डाले या फुलाँ चीज़ ख़रीदे या इजारा करे या किसी चीज़ का इक़रार करे और इस धमकी की वजह से उसने यह सब काम कर लिये तो मुकरह को उन उक़ूद के फ़स्ख़ करने का हक़ बाक़ी रहता है यानी इकराह जाते रहने के बाद उन चीज़ों को फ़स्ख़ कर सकता है और यह हक़ उन दोनों में से कोई मर जाये जब भी बाक़ी रहता है कि उसका वारिस् फ़स्ख़ कर सकता है और मुश्तरी के मरजाने से भी यह हक़ बातिल नहीं होता न ज़ियादते मुन्फ़सिला (किसी शय में ऐसी ज़्यादती जो उसमें मिली हुई न हो) या ज़ियादते मुत्तसिला मुतवल्लिदा (किसी शय में ऐसी ज़्यादती जो उस में ख़ुद ब ख़ुद पैदा होजाये और उस के साथ मिली हुई भी हो जैसे जानवर का बड़ा होना, मोटा होना) से यह हक़ बातिल होता है बल्कि वह चीज़ अगर एक के बाद दूसरे बहुत से हाथों में पहुँचगई जब भी यह लेसकता है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– दो एक कोड़ा मारना ज़र्बे शदीद है। हब्से मदीद यह कि एक दिन से ज़्यादा हो ज़ी इज़्ज़त आदमी के लिये ज़र्बे गै़र शदीद और हब्से गै़र मदीद में वही सूरत है जो औरों के लिए ज़र्बे

शदीद में है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– इक़रार में माले क़लील व कसीर का फ़र्क़ है कि माले क़लील के इक़रार में ज़र्बे ग़ैर शदीद से भी इकराह पाया जायेगा और माले कसीर में ज़र्बे शदीद से इकराह होगा। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.10:– मुकरह की बैअ् नाफ़िज़ है अगर्चे लाज़िम नहीं लाज़िम उस वक़्त होगी कि रज़ा'मन्दी से इजाज़त देदे लिहाज़ा मुश्तरी जो कुछ इस बैअ् में तसर्रुफ़ करेगा वह तसर्रुफ़ात सही होंगे और मुकरह ने समन पर राज़ी ख़ुशी क़ब्ज़ा किया या मबीअ् को ख़ुशी से तस्लीम कर दिया तो अब वह बैअ् लाज़िम होगई। यानी अब बैअ् को फ़स्ख़ नहीं कर सकता और अगर क़ब्ज़े समन (यानी तै शुदा क़ीमत पर कब्ज़ा करना) व तस्लीमे मबीअ् (बेची गई चीज हवाले करना) भी इकराह के साथ हो तो हक़्क़े फ़स्ख़ बाक़ी रहेगा, और हिबा में इकराह हो तो सिरे से मौहूब'लहू चीज़ का मालिक ही नहीं होगा और इस के तसर्रुफ़ात सहीह नहीं होंगे। (हिदाया)

मसअ्ला.11:– बाइअ् ने अगर इकराह के साथ समन पर क़ब्ज़ा किया है तो फ़स्ख़े बैअ् की सूरत में समन वापस करदे अगर उसके पास मौजूद है और हलाक होगया है तो उसपर ज़मान वाजिब नहीं कि समन बाइअ् के पास अमानत है। (हिदाया, इनाया)

मसअ्ला.12:– इकराह के साथ बैअ् अगर्चे बैअ् फ़ासिद है मगर इसमें और दीगर बुयूअे फ़ासिदा में चन्द वजह से फ़र्क़ है। 1.यह बैअ् इजाज़ते क़ौली या फ़ेअ्ली के बाद सहीह होजाती है दूसरी बैअें फ़ासिद की फ़ासिद ही रहती हैं। 2.जिसने इससे ख़रीदा है इस के तसर्रुफ़ात तोड़ दिये जायेंगे अगर्चे यके बाद दीगरे कहीं से कहीं पहुँची हो। 3. मबीअ् ग़ुलाम था और मुश्तरी ने उसे आज़ाद कर दिया तो बाइअ् को इख़्तियार है कि मुश्तरी से यौमुलक़ब्ज़ (कब्ज़ा करने के दिन) की क़ीमत ले या यौमुलइताक़ (आज़ाद करने का दिन) की अगर बाइअ् पर इकराह हो तो समन इस के पास अमानत है और मुश्तरी पर इकराह हो तो बैअ् इस के पास अमानत है और दीगर बुयूअ् फ़ासिदा में यह चारों बातें नहीं हैं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मोहतार)

मसअ्ला.13:– बैअ् अगर हलाक होचुकी है तो बाइअ् उसकी क़ीमत लेगा यानी चीज़ की जो वाजिबी क़ीमत होगी वह मुश्तरी से वसूल करेगा। (हिदाया)

मसअ्ला.14:– बादशाह का कह देना ही इकराह है अगर्चे वह धमकी न दे कि उसकी मुख़ालफ़त में जान जाने या अत्लाफ़े अज़ू का अन्देशा है यूँहीं जिन लोगों से इस क़िस्म का अन्देशा हो उनका कह देना ही इकराह है अगर्चे धमकी न दें बाज़ शौहर भी ऐसे होते हैं कि उनका ख़िलाफ़ करने में औरत को उसी क़िस्म का अन्देशा होता है ऐसे शौहर का कहना ही इकराह है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.15:– मआज़ल्लाह शराब पीने या ख़ून पीने या मुर्दार का गोश्त खाने या सुअर का गोश्त खाने पर इकराह किया गया अगर वह इकराह ग़ैर मुल्जी है यानी हब्स व ज़र्ब की धमकी है तो उन चीज़ों का खाना, पीना जाइज़ नहीं है अल'बत्ता शराब पीने में इस सूरत में हद नहीं मारी जायेगी कि शुब्ह से हद साक़ित होजाती है और अगर वह इकराह मुल्जी है यानी क़त्ल या क़त्ए अज़ू की धमकी है तो उन कामों का करना जाइज़ बल्कि फ़र्ज़ है और अगर सब्र किया उन कामों को नहीं किया और मार डाला तो गुनाहगार हुआ कि शरअ् ने उन सूरतों में इस के लिये यह चीज़ जाइज़ की थी जिस तरह भूक की शिद्दत और इज़्तिरार की हालत में यह चीज़ें मुबाह हैं। हाँ अगर इस को यह बात मालूम न थी कि इस हालत में उन चीज़ों का इस्तेअ्माल शरअ्न जाइज़ है और ना'वाक़िफ़ी की वजह से इस्तेअ्माल न किया और क़त्ल करदिया गया तो गुनाह नहीं यूँहीं अगर इस्तेअ्माल न करने से कुफ़्फ़ार को ग़ैज़ व ग़ज़ब में डालना मक़सूद हो तो गुनाह नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– मआज़ल्लाह कुफ़्र करने पर इकराह हुआ और क़त्ल या क़त्ए अज़ू की धमकी दी गई तो इस शख़्स को सिर्फ़ ज़ाहिरी तौर पर इस कुफ़्र के कर लेने की रुख़सत है और दिल में वही यक़ीने ईमानी क़ाइम रखना लाज़िम है जो पहले था और इस शख़्स को चाहिए कि अपने क़ौल व

फ़ेअ्ल में तौबा करे यानी अगर्चे इस फ़ेअ्ल या क़ौल का ज़ाहिर कुफ़्र है मगर इसकी नियत ऐसी हो कि कुफ़्र न रहे मस्लन इसको मजबूर किया गया कि बुत को सजदा करे और इसने सजदा किया तो यह नियत करे कि खुदा को सजदा करता हूँ या सरकारे रिसालत मआब में गुस्ताख़ी करने पर मजबूर किया गया तो किसी दूसरे शख़्स की नियत करे जिसका नाम मुहम्मद हो और अगर इस शख़्स के दिल में तौबा का ख़्याल आया मगर इस शख़्स ने तौबा न किया यानी खुदा के लिये सजदा की नियत नहीं की तो यह शख़्स काफ़िर होजायेगा और उसकी औरत निकाह से ख़ारिज हो जायेगी और अगर उस शंख़्स को तौबा का ध्यान ही नहीं आया कि तौबा करता और बुत को ही सजदा किया मगर दिल से इस का मुन्किर है तो इस सूरत में काफ़िर नहीं होगा।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.17:– कुफ़्र करने पर मजबूर किया गया और कुफ़्र न किया इस वजह से क़त्ल कर दिया गया तो स्वाब पायेगा उसी तरह नमाज़ या रोज़ा तोड़ने या नमाज़ न पढ़ने या रोज़ा न रखने पर मजबूर किया गया या हरम में शिकार करने या हालते एहराम में शिकार करने या जिस चीज़ की फ़र्ज़ियत कुर्आन से साबित हो इस के छोड़ने पर मजबूर किया गया और इसने उसके ख़िलाफ़ किया जो मुकरेह कराना चाहता था और क़त्ल कर डाला गया सब में स्वाब का मुस्तहिक़ है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.18:– रोज़ादार मुसाफ़िर या मरीज़ है जिसको रोज़ा न रखने की इजाज़त है यह अगर रोज़ा तोड़ने पर मजबूर किया जाये तो रोज़ा तोड़दे और न तोड़ा यहाँ तक कि क़त्ल कर डाला गया तो गुनाहगार होगा। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.19:– रमज़ान में दिन के वक़्त खाने, पीने या बीवी से जिमाअ् करने पर इकराह हुआ और रोज़ादार ने ऐसा कर लिया तो इस पर रोज़ा की क़ज़ा वाजिब है कफ़्फ़ारा वाजिब नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला.20:– अगर इकराहे ग़ैर मुल्जी हो तो कुफ़्र का इज़हार नहीं कर सकता इस सूरत में इज़हारे कुफ़्र की रुख़सत नहीं है कि ग़ैर मुल्जी इसके हक़ में इकराह ही नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.21:– इस पर मजबूर किया गया कि किसी मुस्लिम या ज़िम्मी के माल को तल्फ़ करे और धमकी भी क़त्ल या क़तअ़े अ़ज़ू की है तो तल्फ़ करने की इस के लिये रुख़्सत है और अगर इस ने तल्फ़ न किया और इसके साथ वह कर डाला गया जिसकी धमकी दीगई थी तो स्वाब का मुस्तहिक़ है और अगर इसने माल तल्फ़ कर डाला तो माल का तावान मजबूर करने वाले के ज़िम्मे है कि यह शख़्स उसके लिये ब'मन्ज़िला आला के है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.22:– इस पर मजबूर किया गया कि फ़ुलाँ शख़्स को क़त्ल कर डाल या उसका अ़ज़ू काट डाल या उस को गाली दे अगर तूने ऐसा न किया तो मैं तुझे मार डालूँगा या तेरा अ़ज़ू काट डालूँगा तो इस को उन कामों के करने की इजाज़त नहीं है अगर इसके कहने के मुवाफ़िक़ करेगा गुनाहगार होगा और क़िसास मजबूर करने वाले से लिया जायेगा कि मुकरेह इसके लिये ब'मन्ज़िला आला के है जिसके अ़ज़ू काटने पर उसे मजबूर किया गया उसने इसको इजाज़त देदी कि हाँ तू ऐसा करले अब भी इसको इजाज़त नहीं है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.23:– अगर इस को मजबूर किया गया कि तू अपना अ़ज़ू काट डाल वरना मैं तुझे क़त्ल कर डालूँगा तो इस को ऐसा करने की इजाज़त है और अगर इस पर मजबूर किया गया कि तू खुदकुशी करले वरना मैं तुझे मार डालूँगा इस को खुदकुशी करने की इजाज़त नहीं है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.24:– इकराह हुआ कि तू अपने को तलवार से क़त्ल कर वरना मैं तुझे इतने कोड़े मारूँगा कि तू मरजाये या निहायत बुरी तरह से क़त्ल करूँगा तो इस सूरत में खुदकुशी करने में गुनाह नहीं कि उस सख़्ती और तकलीफ़ से बचने के लिये खुदकुशी करता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.25:– ज़िना पर इकराह हुआ ख़्वाह इकराह मुल्जी हो या ग़ैर मुल्जी ज़िना की इजाज़त नहीं मगर इस ज़ानी पर इकराहे मुल्जी में हद नहीं और औरत को मजबूर किया गया और इकराहे मुल्जी है तो उसे रुख़सत है और ग़ैर मुल्जी है तो रुख़सत नहीं और औरत से इकराहे ग़ैर मुल्जी में

भी हद साकित है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.26:– लिवातत पर इकराह हुआ इकराहे मुल्जी हो या ग़ैर मुल्जी बहर सूरत इसकी इजाज़त नहीं। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.27:– औरत को ज़िना कराने पर मजबूर किया और उसने मर्द को क़ाबू देदिया तो औरत भी गुनाहगार है और क़ाबू न दिया और उसके साथ करलिया गया तो औरत गुनाहगार नहीं(आलमगीरी)

मसअ्ला.28:– ज़िना पर इकराह हुआ उसने ज़िना नहीं किया और क़त्ल कर दिया गया उसको स्वाब मिलेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.29:– निकाह व तलाक़ व इताक़ पर इकराह हुआ यानी धमकी देकर ईजाब या क़बूल करा लिया या तलाक़ के अलफ़ाज़ कहलवाये या गुलाम को आज़ाद कराया तो यह सब सहीह हो जायेंगे और गुलाम की क़ीमत मुकरेह से वसूल कर सकता है और तलाक़ की सूरत में अगर औरत ग़ैर मदख़ूला (जिस से जिमा, सम्भोग न किया गया हो) है तो निस्फ़ महर वसूल कर सकता है और मदख़ूला (जिस से जिमा किया गया हो) है तो कुछ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.30:– खुद ज़ौजा ने शौहर को तलाक़ देने पर मजबूर किया और इकराहे मुल्जी है तो औरत शौहर से कुछ नहीं लेसकती और ग़ैर मुल्जी है तो निस्फ़ महर लेसकती है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.31:– निकाह में महर ज़िक्र नहीं किया गया और इकराह के साथ तलाक़ दिलवाई गई तो शौहर पर मुतआ़ वाजिब है जिसका बयान किताबुत्तलाक़ में गुज़रा और मुकरेह से उसको वसूल करेगा। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.32:– एक तलाक़ देने पर इकराह हुआ और उसने तीन तलाक़ें देदीं और औरत ग़ैर मदख़ूला है तो मुकरेह से निस्फ़ महर वापस नहीं लेसकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.33:– इस पर इकराह हुआ कि ज़ौजा को तफ़वीज़े तलाक़ करदे (यानी तलाक़ सिपुर्द करदे) या इसकी तलाक़ फुलाँ शख़्स के इख़्तियार में देदे इसने ऐसा ही करदिया और ज़ौजा या उस शख़्स ने तलाक़ देदी तलाक़ होजायेगी और ग़ैर मदख़ूला है तो निस्फ़ महर मुकरेह से वसूल करेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– मर्द मरीज़ ने अपनी औरत को मजबूर किया कि वह उससे तलाक़े बाइन की दरख़्वास्त करे औरत ने उससे कहा कि तू मुझे तलाक़े बाइन देदे उसने देदी और इद्दत ही में वह शख़्स मरगया औरत वारिस् होगी और अगर औरत ने दो तलाक़ बाइन की दरख़्वास्त की तो वारिस् नहीं होगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.35:– औरत को मजबूर किया गया कि एक हज़ार के बदले में शौहर की तलाक़ क़बूल करे उसने क़बूल करली एक तलाक़ रजई वाक़ेअ् होगी और उसपर रूपये वाजिब नहीं होंगे और अगर एक हज़ार पर खुलअ् के लिये औरत पर इकराह हुआ और इसने खुलअ् कराया तो तलाक़े बाइन वाक़ेअ् होगी और माल वाजिब नहीं होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.36:– एक शख़्स को मजबूर किया गया कि फुलानी औरत से दस हज़ार महर पर निकाह करे और उस औरत का महरे मिस्ल एक हज़ार है उसने दस हज़ार महर पर निकाह किया निकाह सहीह है मगर महर एक ही हज़ार वाजिब होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.37:– एक शख़्स हज़ार रूपये पर खुलअ् कराने पर मजबूर नहीं की गई है तो एक हज़ार पर खुलअ् होगया औरत के ज़िम्मे यह रूपये लाज़िम होंगे और मर्द मजबूर करने वाले से कुछ नहीं लेसकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.38:– इकराह के साथ यह सब चीज़ें सहीह हैं नज़्र, यमीन, ज़िहार, रजअ़त, ईला, फ़ी यानी इस को मन्नत मानने पर मजबूर किया कि नमाज़ या रोज़ा या सदक़ा या हज की मन्नत माने और इसने मानली तो मन्नत पूरी करनी होगी यूँहीं ज़िहार किया तो बिग़ैर कफ़्फ़ारा औरत से क़ुर्बत जाइज़ न होगी और ईला किया तो इस के अहकाम भी जारी होंगे और रजअ़त करली तो रजअ़त

होगई और ईला किया था फी करने पर मजबूर किया गया फी होगई। (आलमगीरी, दुर्रेमुख्तार)

मसअला.39:– औरत से ज़िहार किया था उसको मजबूर किया गया कि ज़िहार के कफ्फारा में अपना गुलाम आज़ाद करे उसने आज़ाद किया अगर यह गुलाम ग़ैर मुअय्यन है जब तो कुछ नहीं कि उसने अपना फ़र्ज़ अदा किया और अगर मुअय्यन गुलाम को आज़ाद कराया तो दो सूरतें हैं वही सब में घटिया और कम दर्जा का है जब भी मुकरेह पर ज़मान वाजिब नहीं और अगर दूसरे गुलाम उससे घटिया हैं तो मुकरेह पर उसकी क़ीमत वाजिब है और कफ्फारा अदा न हुआ। (आलमगीरी)

मसअला.40:– क़सम के कफ्फारा देने पर मजबूर किया गया और यह मुअय्यन नहीं किया है कि कौनसा कफ्फारा दे और इसने कफ्फारा देदिया कफ्फारा सहीह है और अगर मोअय्यन करदिया है और इससे कम दर्जे का कफ्फरा देसकता था तो मुकरेह पर ज़मान वाजिब है और कफ्फारा सहीह नहीं। (आलमगीरी)

मसअला.41:– इकराह के साथ इस्लाम सहीह है (दुर्रेमुख्तार) यानी अगर उसने इकराह की वजह से अपना इस्लाम ज़ाहिर किया तो जब तक उससे कुफ्र ज़ाहिर न हो उसको काफ़िर न कहेंगे इस लिये कि यह क्योंकर यक़ीन किया जा सकता है कि इसने महज़ ख़ौफ़ से ही इस्लाम ज़ाहिर किया दिल में उसके इस्लाम नहीं है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक काफिर ने मुसलमान पर हमला किया और जब मुसलमान ने हमला किया तो उसने कलिमा पढ़ लिया उन्होंने यह ख़याल करके कि महज़ तलवार के ख़ौफ़ से इस्लाम ज़ाहिर किया है कलिमा पढ़ने के बावजूद उसको क़त्ल कर डाला जब हुज़ूर को इस की इत्तिलाअ् हुई तो निहायत शिद्दत से इन्कार फ़रमाया। इस्लाम सहीह होने का यह मतलब नहीं कि महज़ मुँह से कह देने से ही वह हक़ीक़तन मुसलमान है कि इस्लाम हक़ीक़ी तो दिल से तस्दीक़ का नाम है सिर्फ़ मुँह से बोलना क्या मुफ़ीद हो सकता है जबकि दिल में तस्दीक़ न हो।

मसअला.42:– इकराह के साथ उससे दैन मुआफ़ कराया गया या कफ़ील को बरी कराया गया या शफ़ीअ् को तलबे शुफ़ा से रोक दिया गया या किसी को जबरन मुर्तद बनाना चाहा यह सब चीज़ें इकराह से नहीं हो सकतीं। (दुर्रेमुख्तार)

मसअला.43:– क़ाज़ी ने मजबूर करके किसी से चोरी या क़त्ले अमद का इक़रार कराया और इस इक़रार पर उसका हाथ काटा गया या क़िसास लिया गया अगर वह शख़्स नेक है तो क़ाज़ी से क़िसास लिया जायेगा और अगर चोरी व क़त्ल में मुत्तहम है मशहूर है कि चोर है, क़ातिल है तो क़ाज़ी से क़िसास नहीं लिया जायेगा। (दुर्रेमुख्तार)

मसअला.44:– शौहर ने औरत को धमकी दी कि महर मुआफ़ करदे या हिबा करदे वरना तुझे मारूँगा उसने हिबा करदिया या मुआफ़ करदिया अगर शौहर उसके मारने पर क़ादिर है तो हिबा और मुआफ़ करना सहीह नहीं और अगर यह धमकी दी कि हिबा करदे वरना तलाक़ देदूँगा या दूसरा निकाह कर लूँगा तो यह इकराह नहीं इस सूरत में हिबा करेगी तो सहीह होजायेगा।(दुर्रेमुख्तार)

मसअला.45:– शौहर ने औरत को उसके बाप, माँ के यहाँ जाने से रोक दिया कि जब तक महर न बख़्शेगी जाने नहीं दूँगा यह भी इकराह के हुक्म में है कि उस हालत में बख़्शना सहीह नहीं(दुर्रेमुख्तार)

मसअला.46:– एक शख़्स को धमकी दीगई कि वह अपनी फुलाँ चीज़ ज़ैद को हिबा करदे उसने ज़ैद व अम्र दोनों को हिबा करदी अम्र के हक़ में हिबा सहीह है और ज़ैद के हक़ में सहीह नहीं(आलमगीरी)

मसअला.47:– एक शख़्स को खाना खाने पर इकराह किया गया और वह खाना भी खुद उसी का है अगर वह भूका है तो कुछ नहीं कि अपनी चीज़ का फ़ायदा खुद उसी को पहुँचा और अगर आसूदा था तो मुकरेह से तावान लेगा। (दुर्रेमुख्तार)

मसअला.48:– बहुत से मुसलमान, काफ़िरों ने गिरफ़्तार करलिये हैं उन काफ़िरों का जो सरग़ना है यह कहता है कि अगर तुम अपनी लौन्डी ज़िना के लिये देदो तो एक हज़ार क़ैदी रिहा किये देता हूँ क़ैदी छुड़ाने के लिये उसको लौन्डी देना हलाल नहीं अल्लाह तआला उन असीरों के लिये कोई

सबब पैदा कर देगा या उन्हें इस मुसीबत पर सब्र व अज्र देगा। (दुर्रेमुख़्तार) इस से इस्लाम की निज़ाफ़त व पाकीज़गी का अन्दाज़ा करना चाहिए कि अपने एक हज़ार आदमी कुफ़्फ़ार के हाथ से छुड़ाने क लिये भी इस्लाम इसको जाइज़ नहीं रखता कि मुसलमान अपनी लौन्डी को भी ज़िना के लिये दे ब'ख़िलाफ़ दीगर मज़ाहिब कि उन्होंने बहुत मअ्मूली बातों के लिये अपनी बीवियाँ और लड़कियाँ पेश करदीं चुनाँचे तारीख़े आलम इस पर शाहिद है मालूम हुआ कि कुफ़्फ़ार को जब कभी कामयाबी हुई तो इसी क़िस्म की हरकात से।

मसअ्ला.49:– चोरों ने किसी को मजबूर किया कि तुम्हारा माल कहाँ है बताओ वरना हम क़त्ल कर डालेंगे उसने नहीं बताया उन्होंने क़त्ल कर डाला यह शख़्स गुनाहगार न हुआ। (आलमगीरी)

मसअ्ला.50:– मर्द व औरत दोनों ने इस पर इत्तिफ़ाक़ करलिया है कि लोगों के सामने एक हज़ार पर तलाक़ दूँगा और तलाक़ देना मक़सूद न होगा महज़ लोगों के दिखाने के लिये ऐसा किया जायेगा चुनाँचे लोगों के सामने एक हज़ार पर तलाक़ देदी वाक़ेअ् होजायेगी और माल लाज़िम न होगा। (आलमगीरी)

हज्र का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है।

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا وَّارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾

"बे अक़्लों को उन के माल न दो जो तुम्हारे पास हैं जिन को अल्लाह ने तुम्हारी बसर औक़ात किया है और उन्हें उसी में से खिलाओ और पहनाओ और उन से अच्छी बात कहो और यतीमों को आज़माते रहो यहाँ तक कि जब वह निकाह के क़ाबिल हों तो अगर तुम उन की समझ ठीक देखो तो उन के माल उन्हें सिपुर्द करो"।

इमाम अहमद व अबूदाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा व दारेक़ुत्नी अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत करते हैं कि एक शख़्स ख़रीद व फ़रोख़्त में धोका खा जाते थे उनके घरवालों ने हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर होकर अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह उनको महजूर कर दीजिये (ख़रीद व फ़रोख़्त का इख़्तेयार ख़त्म कर देना (अमीनुल क़ादरी)) उनको बुलाकर हुज़ूर ने बैअ् से मनअ् फ़रमाया उन्होंने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह मैं बैअ् से सब्र नहीं कर सकता हुज़ूर ने फ़रमाया "अगर बैअ् को तुम नहीं छोड़ते तो जब बैअ् करो यह कह दिया करो कि धोका नहीं है"। दूसरी हदीस् में फ़रमाया तीन शख़्सों से क़लम उठा लिया गया है सोते से यहाँ तक कि बेदार हो और बच्चे से यहाँ तक कि बालिग़ हो जाये और मजनून से यहाँ तक कि होश में आये।

मसअ्ला.1:– किसी शख़्स के तसर्रुफ़ाते क़ौलिया रोक देने को हजर कहते हैं। इन्सान को अल्लाह तआ़ला ने मुख़्तलिफ़ मरातिब पर पैदा फ़रमाया है किसी को समझ, बूझ और दानाई व होश्यारी अ़ता फ़रमाई और बाज़ की अ़क़्लों में फ़ुतूर और कमज़ोरी रखी जैसे मजनून और बच्चे कि उनकी फ़हम व अ़क़्ल में जो कुछ क़ुसूर है वह मख़्फ़ी नहीं अगर उनके तसर्रुफ़ात नाफ़िज़ होजाया करें और बसा औक़ात यह अपनी कम फ़हमी से ऐसे तसर्रुफ़ात कर जाते हैं जो ख़ुद उनके लिये मुज़िर हैं तो उन्हीं को नुक़सान उठाना पड़ेगा लिहाज़ा उसकी रहमते कामिला ने उनके तसर्रुफ़ात को रोक दिया कि उनको ज़रर न पहुँचने पाये। बाँदी, ग़ुलाम की अ़क़्ल में फ़ुतूर नहीं है मगर यह ख़ुद और जो उनके पास है सब मिल्के मौला है लिहाज़ा उनको पराई मिल्क में तसर्रुफ़ करने का क्या हक़ है।

मसअ्ला.2:– हज्र के अस्बाब तीन हैं। **ना'बालिग़ी, जुनून, रुक़्क़ियत,** नतीजा यह हुआ कि आज़ाद आ़क़िल बालिग़ को क़ाज़ी महजूर नहीं कर सकता हाँ अगर किसी शख़्स के तसर्रुफ़ात का ज़रर आ़म लोगों को पहुँचता हो तो उसको रोक दिया जायेगा मस्लन तबीबे जाहिल कि फ़न्ने तिब में महारत नहीं रखता और इलाज करने को बैठ जाता है लोगों को दवायें देकर हलाक करता है। आज कल बकस्रत ऐसा होता है कि किसी शख़्स से या मदरसा में तिब पढ़ लेते हैं और इलाज व मुआ़लजा से साबिक़ा भी नहीं पड़ता दो तीन बरस के बाद सनदे तिब हासिल कर के मतब खोल

लेते हैं और हर तरह के मरीज़ पर हाथ डाल देते हैं मर्ज़ समझ में आया या न आया हो नुस्खे पिलाना शुरू कर देते हैं वह इस कहने को कसरे शान (तौहीन) समझते हैं कि मेरी समझ में मर्ज़ नहीं आया ऐसों को इलाज करना कब जाइज़ व दुरुस्त है। इलाज करने के लिये ज़रूरी है कि मुद्दते दराज़ तक उस्तादे कामिल के पास बैठे और हर किस्म का इलाज देखे और उस्ताद की समझ में आजाये कि यह शख़्स अब इलाज में माहिर होगया तो इलाज की इजाज़त दे। आज कल तअ्लीम और इम्तिहान की सनदों को इलाज के लियये काफ़ी समझते हैं मगर ग़लती है और सख़्त ग़लती है, उसी की दूसरी मिसाल जाहिल मुफ़्ती है कि अगर लोगों को ग़लत फ़तवे देकर खुद भी गुमराह व गुनाहगार होता है और दूसरों को भी करता है तबीब ही की तरह आजकल मौलवी भी हो रहे हैं कि कुछ इस ज़माना में मदारिस में तअ्लीम है वह ज़ाहिर है अव्वल तो दर्से निज़ामी जो हिन्दुस्तान के मदारिस में उमूमन जारी है उसकी तकमील करने वाले भी बहुत क़लील अफ़राद होते हैं। उमूमन कुछ मअ्मूली तौर पर पढ़कर सनद हासिल कर लेते हैं और अगर पूरा दर्स भी पढ़ा तो इस पढ़ने का मक़सद सिर्फ़ इतना है कि अब इतनी इस्तेअ्दाद होगई कि किताबें देखकर मेहनत करके इल्म हासिल कर सकता है वरना दर्से निज़ामी में दीनियात की जितनी तअ्लीम है ज़ाहिर है कि उसके ज़रीआ से कितने मसाइल पर उबूर होसकता है मगर उनमें अकसर को इतना बेबाक पाया गया है अगर किसी ने उनसे मसअ्ला दरयाफ़्त किया तो यह कहना ही नहीं जानते कि मुझे मालूम नहीं या किताब देख कर बताऊँगा कि इसमें वह अपनी तौहीन जानते हैं अटकल पच्चू, जी में जो आया कह दिया। सहाबा–ए–किब्बार व अइम्मा–ए–आलाम की ज़िन्दगी की तरफ़ अगर नज़र की जाती है तो मालूम होता है कि बा'वजूद ज़बर'दस्त पाया–ए–इज्तिहाद रखने के भी वह कभी ऐसी जुरअत नहीं करते थे जो बात न मालूम होती उसकी निस्बत साफ़ फ़रमाया करते कि मुझे मालूम नहीं। इन नो आमूज़ मौलवियों को हम ख़ैर ख़्वाना नसीहत करते हैं कि तकमीले दर्से निज़ामी के बाद फ़िक़्ह व उसूल व कलाम व हदीस व तफ़सीर का ब'कसरत मुतालअ् करें और दीन के मसाइल में जसारत (जुर्अत) न करें जो कुछ दीन की बातें उन पर मुन्कशिफ़ व वाज़ेह होजायें उन को बयान करें और जहाँ इश्काल पैदा (किसी मसअ्ले में मुश्किल पेश आये) हो उसमें कामिल ग़ौर व फ़िक्र करें खुद वाज़ेह न हो तो दूसरों की तरफ़ रुजूअ् करें कि इल्म की बात पूछने में कभी आर न करना चाहिए।

मसअ्ला.3:– जुनून क़वी हो या ज़ईफ़ हज्र के लिये सबब है। मअ्तूह जिसको बोहरा कहते हैं वह है जो कम समझ हो उसकी बातों में इख़्तिलात हो ऊट, पटांग बातें करता फ़ासिदुत्तदबीर हो मजनून की तरह लोगों को मारता, गाली देता न हो यह मअ्तूह इस बच्चे के हुक्म में है जिसको तमीज़ है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.4:– मजनून न तलाक़ दे सकता है न इक़रार कर सकता है उसी तरह ना'बालिग़ कि न उसकी तलाक़ सहीह न इक़रार। मजनून अगर ऐसा है कि कभी कभी उसे इफ़ाक़ा होजाता है और इफ़ाक़ा भी पूरे तौर पर होता है तो इस हालत में उसपर मजनून का हुक्म नहीं है और अगर ऐसा इफ़ाक़ा है कि अक़्ल ठिकाने पर नहीं आई हो तो ना'बालिग़ आक़िल के हुक्म में है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– गुलाम तलाक़ भी दे सकता है और इक़रार भी कर सकता है मगर उसका इक़रार उसकी ज़ात तक महदूद है लिहाज़ा अगर माल का इक़रार करेगा तो आज़ाद होने के बाद इससे वसूल किया जा सकता है और हुदूद व क़िसास का इक़रार करेगा तो फ़िलहाल क़ाइम कर देंगे आज़ाद होने का इन्तिज़ार नहीं किया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला.6:– ना'बालिग़ ने ऐसा अक़्द किया जिसमें नफ़अ् व ज़रर दोनों होते हैं जैसे ख़रीद व फ़रोख़्त कि न हमेशा इसमें नफ़अ् ही होता है न हमेशा ज़रर अगर वह ख़रीदने और बेचने के मअ्ना जानता हो कि ख़रीदना यह है कि दूसरे की चीज़ हमारी होजायेगी और बेचना यह कि अपनी चीज़ अपनी न रहेगी दूसरे की होजायेगी तो इसका अक़्द वली की इज़ाज़त पर मौक़ूफ़ होता है जाइज़

कर देगा जाइज़ होजायेगा रद कर देगा बातिल होजायेगा और अगर इतना भी न जानता हो कि बेचना और ख़रीदना उसे कहते हैं तो उसका अक़्द बातिल है वली के जाइज़ करने से भी जाइज़ नहीं होगा मजनून का भी यही हुक्म है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– फ़ेअ्ल में हज्र नहीं होता यानी उनके अफ़आल को कल'अदम नहीं समझा जायेगा बल्कि उनका एअ्तिबार किया जायेगा लिहाज़ा ना'बालिग़ या मजनून ने किसी की कोई चीज़ तल्फ़ करदी तो ज़मान वाजिब है फ़िल'हाल तावान वसूल किया जायेगा यह नहीं कि जब वह बालिग़ हो या मजनून होश में आये उस वक़्त तावान वसूल करें यहाँ तक कि अगर एक दिन के बच्चा ने करवट ली और किसी शख़्स की शीशे की कोई चीज़ थी वह टूटगई इस का भी तावान देना होगा। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– बच्चे ने किसी से क़र्ज़ लिया या उसके पास कोई चीज़ अमानत रखी गई या इसको कोई चीज़ आरियत दीगई या इसके हाथ कोई चीज़ बैअ् कीगई और यह सब काम वली की बिग़ैर इजाज़त हुए और बच्चे ने वह चीज़ तल्फ़ करदी तो ज़मान वाजिब नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– आज़ाद, आक़िल, बालिग़ पर हज्र नहीं किया जा सकता कि मसलन वह सफ़ीह (बे'वक़ूफ़) है माल को बेजा ख़र्च करता है, अक़्ल व शरअ् के ख़िलाफ़ वह अपने माल को बर्बाद करता है, गाने बजाने वालों को दे देता है, तमाशा करने वालों को देता है, कबूतर बाज़ी में माल उड़ाता है, बेश क़ीमत कबूतरों को ख़रीदता है, पतंग बाज़ी में, आतिशबाज़ी में, और तरह तरह की बाज़ियों में माल ज़ाइअ् करता है, ख़रीद व फ़रोख़्त में बे महल टोटे में पड़ता है कि एक रूपया की चीज़ है दस पाँच में ख़रीदली, दस की चीज़ है बिला वजह एक रूपया में बैअ् करडाली ग़र्ज़ उसी क़िस्म के बे'वक़ूफ़ी के काम जो शख़्स करता है उसको हमारे इमामे आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु के नज़्दीक हज्र नहीं किया जा सकता इसी तरह फ़िस्क़ या ग़फ़लत की वजह से या मदयून है इस वजह से उस पर हज्र नहीं होसकता मगर साहिबैन के नज़्दीक उन सूरतों में भी हज्र किया जा सकता है और साहिबैन ही के क़ौल पर यहाँ फ़तवा दिया जाता है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.10:– सफ़ीह यानी जिस आज़ाद, आक़िल, बालिग़ पर हज्र हो उसके वह मुतसर्रिफ़ात जो फ़िस्क़ का एहतिमाल रखते हैं और हज़्ल से बातिल होजाते हैं उन्हीं में हज्र का असर होता है कि यह शख़्स ना'बालिग़ आक़िल के हुक्म में होता है और जो तसर्रुफ़ात ऐसे हैं कि न फ़स्ख़ होसकें औरन हज़्ल से बातिल हों उनमें हज्र का असर नहीं होता लिहाज़ा निकाह, तलाक़, इताक़, इस्तीलाद, (लौन्डी को उम्मे वलद बनाना) तदबीर, (गुलाम लौन्डी को मुदब्बिर या मुदब्बिरा बनाना) वुजूबे ज़कात व फ़ित्रा, व हज व दीगर इबादते बदनिया, बाप, दादा की विलायत का ज़ाइल होना, नफ़क़ा में ख़र्च करना यानी अपने और अहल व एयाल पर और उन लोगों पर ख़र्च करना जिनका नफ़क़ा इसके ज़िम्मे वाजिब है। नेक कामों में एक तिहाई तक वसियत करना उक़ूबात (जुर्म) का इक़रार करना यह चीज़ें वह हैं कि बा'वजूद हज्र भी सहीह हैं और उन के एलावा जिन में हज़्ल का एअ्तिबार है वह क़ाज़ी की इजाज़त से कर सकता है यानी क़ाज़ी अगर नाफ़िज़ करदेगा तो नाफ़िज़ होजायेंगे(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– ना'बालिग़ जिसका माल वली या वसी के क़ब्ज़े में था वह बालिग़ हुआ और उसकी हालत अच्छी मालूम होती है और चाल चलन ठीक हैं (यहाँ नेक चलनी के सिर्फ़ यह मअ्ना हैं कि माल को मौक़ा से ख़र्च करता हो और बे मौक़ा ख़र्च करने से रुकता हो जिस को रुश्द कहते हैं) तो उसके अमवाल उसे देदिये जायें और अगर चाल चलन अच्छे न हों तो अमवाल न दिये जायें जब तक उसकी उम्र पच्चीस साल की न होजाये और उनके तसर्रुफ़ात पच्चीस साल से क़ब्ल भी नाफ़िज़ होंगे और इस उम्र तक पहुँचने के बाद भी उसमें रुश्द ज़ाहिर न हुआ तो इमामे आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु के नज़्दीक अब माल देदिया जाये वह जो चाहे करे मगर साहिबैन फ़रमाते हैं कि अब भी न दिया जाये जब तक रुश्द ज़ाहिर न हो माल सिपुर्द न किया जाये अगर्चे उसकी उम्र सत्तर साल की होजाये(हिदाया वग़ैरा)

मसअ्ला.12:– बालिग़ होने के बाद नेक चलन था और अमवाल देदिये गये अब उसकी हालत

ख़राब होगई तो इमामे आज़म के नज़्दीक हज्र नहीं होसकता मगर साहिबैन के नज़्दीक महजूर कर दिया जायेगा जैसा ऊपर मज़कूर हुआ। (हिदाया)

मसअ्ला.13:– किसी शख़्स पर ज़्यादा क़र्ज़ होगये क़र्ज़ ख़्वाहों को अन्देशा है कि अगर उसने अपने अमवाल को हिबा कर दिया या सदक़ा करदिया या और किसी तरह ख़र्च कर डाला तो हम अपने दैन क्योंकर वसूल करेंगे उन्होंने क़ाज़ी से महजूर करने की दरख़्वास्त की तो ऐसे शख़्स को क़ाज़ी महजूर कर देगा अब उसके तसर्रुफ़ात हिबा वग़ैरा नाफ़िज़ नहीं होंगे और क़ाज़ी उसके अमवाल को बैअ् करके दैन अदा कर देगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.14:– एक शख़्स मुफ़्लिस (दीवालिया) होगया और उसके पास कुछ वह चीज़ें हैं जिनको उस ने ख़रीदा है और समन बाइअ् को नहीं दिया है तो यह चीज़ तनहा बाइअ् को नहीं मिलेगी बल्कि उसमें दीगर क़र्ज़ ख़्वाह भी शरीक हैं जितनी बाइअ् के हिस्सा में आये उतनी ही ले सकता है अगर उसने अब तक उस चीज़ पर क़ब्ज़ा ही नहीं किया है या बिग़ैर इजाज़ते बाइअ् क़ब्ज़ा कर लिया है तो तन्हा बाइअ् उसका हक़दार है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.15:– मदयून का दैन नुक़ूद (नक़द रक़म) से अदा किया जायेगा उनसे न अदा हो तो दीगर सामान और उनसे भी न हो तो जायदादे ग़ैर'मन्क़ूला से और सिर्फ़ एक जोड़ा कपड़े का उसके लिये छोड़ दिया जाये.बाक़ी सब अम्वाल अदा–ए–दैन में सर्फ़ कर दिये जायें। (आलमगीरी)

बुलूग़ का बयान

मसअ्ला.16:– लड़के को जब इन्ज़ाल होगया वह बालिग़ है। वह किसी तरह हो सोते में हो जिस को एहतिलाम कहते हैं या बेदारी की हालत में हो। और इन्ज़ाल न हो तो जब तक उसकी उ़म्र पन्द्रह साल की न हो बालिग़ नहीं जब पूरे पन्द्रह साल का होगया तो अब बालिग़ है अ़लामते बुलूग़ पाये जायें या न पाये जायें लड़के के बुलूग़ के लिये कम से कम जो मुद्दत है वह बारह साल की है यानी अगर इस मुद्दत से क़ब्ल वह अपने को बालिग़ बताये उस का क़ौल मोअ्तबर न होगा(आलमगीरी)

मसअ्ला.17:– लड़की का बुलूग़ एहतिलाम से होता है या हमल से या हैज़ से उन तीनों में से जो बात भी पाई जाये तो वह बालिग़ क़रार पायेगी और उनमें से कोई बात न पाई जाये तो जब तक पन्द्रह साल की उ़म्र न हो जाये बालिग़ नहीं और कम से कम उस का बुलूग़ नौ साल में होगा इस से कम उ़म्र है और अपने को बालिग़ा कहती हो तो मोअ्तबर नहीं। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला.18:– लड़के की उ़म्र बारह साल या लड़की की नौ साल की हो और वह अपने को बालिग़ बताते हैं अगर ज़ाहिर हाल उनकी तकज़ीब न करता हो (झुटलाता न हो) कि उनके हम उ़म्र बालिग़ हों तो उनकी बात मान ली जायेगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.19:– जब उनका बालिग़ होना तस्लीम करलिया गया तो बालिग़ के जितने अहकाम हैं उन पर जारी होंगे और इसके बाद वह अपने बालिग़ होने से इन्कार करे भी तो मोअ्तबर न होगा अगर्चे यह एहतिमाल है कि वह ना'बालिग़ हो, उसकी बैअ व तक़सीम नहीं तोड़ी जायेगी।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.20:– जिस लड़के की उ़म्र बारह साल की हो और उसके हम उ़म्र बालिग़ हों उसने अपनी औ़रत से जिमाअ् किया और औ़रत के बच्चा पैदा हुआ तो उसके बुलूग़ का हुक्म दिया जायेगा और बच्चा साबितुन्नसब होगा। (आलमगीरी)

माज़ून का बयान

हज्र से तसर्रुफ़ात नहीं कर सकता था जिसका बयान गुज़रा इस हज्र के दूर करने को इज़्न कहते हैं यहाँ सिर्फ़ उन मसाइल को बयान करना है जिनका तअल्लुक़ ना'बालिग़ या मअ्तूह से है ग़ुलाम माज़ून के मसाइल ज़िक्र करने की हाजत नहीं।

मसअ्ला.1:– ना'बालिग़ के तसर्रुफ़ात तीन किस्म हैं **(1)नाफ़ेअ् महज़** यानी वह तसर्रुफ़ जिसमें नफ़अ् ही नफ़अ् है जैसे इस्लाम क़बूल करना। किसी ने कोई चीज़ हिबा की उसको क़बूल

करना उसमें वली की इजाज़त दरकार नहीं। **(2)ज़ार महज़** जिसमें ख़ालिस नुक़सान हो यानी दुनियावी मुज़र्रत हो अगर्चे आख़िरत के एअ्तिबार से मुफ़ीद हो जैसे सदक़ा व क़र्ज़ ग़ुलाम को आज़ाद करना। ज़ौजा को तलाक़ देना। उसका हुक्म यह है कि वली इजाज़त दे तो भी नहीं कर सकता बल्कि ख़ुद भी बालिग़ होने के बाद अपनी ना'बालिग़ी के उन तसर्रुफ़ात को नाफ़िज़ करना चाहे नहीं कर सकता उसका बाप या क़ाज़ी उन तसर्रुफ़ात को करना चाहें तो यह भी नहीं कर सकते। **(3)बाज़ वजह से नाफ़ेअ् बाज़ वजह से ज़ार** जैसे बैअ्, इजारा, निकाह यह इज़्ने वली पर मौक़ूफ़ हैं। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा) नाबालिग़ से मुराद वह है जो ख़रीद व फ़रोख़्त का मतलब समझता हो जिसका बयान ऊपर गुज़र चुका और जो इतना भी न समझता हो और उस के तसर्रुफ़ात ना क़ाबिले एअ्तिबार हैं। मअ्तूह के भी यही अहकाम हैं जो ना'बालिग़ समझदार के हैं।

मसअ्ला.2:– जब वली ने बैअ् की इजाज़त देदी तो उसने जिस क़ीमत पर भी ख़रीद व फ़रोख़्त की हो जाइज़ है और इज़्न से क़ब्ल जो अक़्द किया है वह इज़्न पर मौक़ूफ़ है वली के नाफ़िज़ करने से नाफ़िज़ होगा और इज़्न के बाद वह उन तसर्रुफ़ात में आज़ाद बालिग़ की मिस्ल है(आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– नाबालिग़ ग़ैर माज़ून ने बैअ् की थी और वली ने उसके मुतअ़ल्लिक़ कुछ नहीं कहा था यहाँ तक कि यह ख़ुद बालिग़ होगया तो अब इजाज़ते वली पर मौक़ूफ़ नहीं है यह ख़ुद नाफ़िज़ कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– वली बाप है बाप के मरने के बाद उसका वसी फिर वसी का वसी फिर दादा फिर उसका वसी फिर उस वसी का वसी फिर बादशाह या क़ाज़ी या वह जिसको क़ाज़ी ने वसी मुक़र्रर किया हो उन तीनों में तक़दीम व ताख़ीर नहीं उन तीनों में से जो तसर्रुफ़ करेगा नाफ़िज़ होगा(आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– चचा और भाई और माँ या उसके वसी को विलायत नहीं है तो बहन फूपी ख़ाला को क्या होती। (आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार) यहाँ माल की विलायत का ज़िक्र है निकाह का वली कौन है इस को हम किताबुन्निकाह में बयान कर चुके हैं वहाँ से मालूम करें।

मसअ्ला.6:– वली ने ना'बालिग़ या मअ्तूह को बैअ् करते देखा और मनअ् न किया ख़ामोश रहा तो यह सुकूत भी इज़्न है और क़ाज़ी ने उनको बैअ् व शिरा (ख़रीद व फ़रोख़्त) करते देखा और ख़ामोश रहा तो इस का सुकूत इज़्न नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– ना'बालिग़ व मअ्तूह के लिये वली न हो या वली हो मगर वह बैअ् वग़ैरा की इजाज़त न देता हो तो क़ाज़ी को इख़्तियार है कि वह इजाज़त देदे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– क़ाज़ी ने इजाज़त देदी उसके बाद वह क़ाज़ी मरगया या मअ्ज़ूल होगया तो बाप वग़ैरा अब भी उसे नहीं रोक सकते और वसी ने इजाज़त दी थी फिर वह मरगया तो हज्र हो गया यानी उसके बाद वली है उसकी इजाज़त दरकार है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– उन दोनों यानी नाबालिग़ व मअ्तूह के पास जो चीज़ है उसके मुतअ़ल्लिक़ यह इक़रार किया कि यह फ़ुलाँ की है ख़्वाह यह चीज़ उनके कसब (कमाई) की हो या मीरास में मिली हो उनका इक़रार सहीह है और अगर बाप ने ही उनको इज़्न दिया और उसी के लिये इक़रार किया तो यह इक़रार सहीह नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.10:– बाप ने अपने दो ना'बालिग़ लड़कों को इजाज़त दी उनमें से एक ने दूसरे से कोई चीज़ ख़रीदी यह बैअ् जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– लड़का मुसलमान है और उसका बाप काफ़िर है तो यह बाप वली नहीं और उसको इज़्न देने का इख़्तियार नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– ना'बालिग़ माज़ून पर दअ्वा हुआ और वह इन्कार करता है तो उसपर हल्फ़ दिया जायेगा। (आलमगीरी)

ग़सब का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है।

وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

तर्जमा :– "एक का माल दूसरा शख़्स ना'हक़ तौर पर न खाये"।

हदीस (1) सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम में सईद इब्ने ज़ैद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं "जिसने एक बालिश्त ज़मीन ज़ुल्म के तौर पर लेली क़ियामत के दिन सातों ज़मीनों से उतना हिस्सा तौक़ बनाकर उसके गले में डाल दिया जायेगा"।

हदीस (2) सहीह बुख़ारी शरीफ़ में अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से मरवी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिसने किसी की ज़मीन में से कुछ भी ना'हक़ ले लिया क़ियामत के दिन सात ज़मीनों तक धंसा दिया जायेगा"।

हदीस (3) **व** (4) इमाम अहमद ने यअ्ला इब्ने मुर्रा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिसने ना'हक़ ज़मीन ली क़ियामत के दिन उसे यह तकलीफ़ दी जायेगी कि उसकी मिट्टी उठाकर मैदाने हश्र में लाये"। दूसरी रिवायत इमाम अहमद की उन्हीं से यूँ है कि हुज़ूर ने फ़रमाया "जिसने एक बालिश्त ज़मीन ज़ुल्म के तौर पर ली अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल उसे यह तकलीफ़ देगा कि उस हिस्सा—ए—ज़मीन को खोदता हुआ सात ज़मीन तक पहुँचे फिर यह सब उस के गले में तौक़ बनाकर डालदिया जायेगा और यह तौक़ उस वक़्त तक उसके गले में रहेगा कि तमाम लोगों के मा'बैन फ़ैसला होजाये।

हदीस (5) सहीह मुस्लिम में अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "कोई शख़्स दूसरे का जानवर बिगैर इजाज़त न दूहे क्या तुम में कोई शख़्स यह पसन्द करता है कि उसके बाला ख़ाना पर कोई आकर ख़ज़ाने की कोठरी तोड़कर जो कुछ उसमें खाने की चीज़ें हैं उठा लेजाये। उन लोगों यानी एअ्राब और बद्दुओं के खाने के ख़ज़ाने जानवरों के थन हैं यानी जानवरों का दूध ही उनकी गिज़ा है"।

हदीस (6) सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के ज़माने में आफ़ताब में गहन लगा और उसी रोज़ हुज़ूर के साहिबज़ादा हज़रत इब्राहीम की वफ़ात हुई थी हुज़ूर ने गहन की नमाज़ पढ़ाई और उसके बाद यह फ़रमाया तमाम वह चीज़ें जिनकी तुम्हें ख़बर दीजाती है संबको मैंने अपनी उस नमाज़ में देखा मेरे सामने दोज़ख़ पेश कीगई और यह उस वक़्त कि तुमने मुझे पीछे हटते हुए देखा कि कहीं उसकी लपट न लगजाये मैंने उसमें साहिबे मिहजन को देखा कि वह अपनी आंतें जहन्नम में घसीट रहा है मिहजन उस छड़ी को कहते हैं जिसकी मुंठ टेढ़ी होती है जाहिलियत में एक शख़्स उ़मर बिन लही नामी था, जो उसी क़िस्म की छड़ी रखता उसको साहिबे मिहजन कहते थे वह हाजियों की चीज़ छड़ी की मोंठ से खींच लिया करता था अगर हाजी को पता चल जाता कि मेरी चीज़ किसी ने खींच ली तो कह देता कि तुम्हारी चीज़ मेरी छड़ी की मोंठ से हिलग गई और उसे पता न चलता तो यह चीज़ उठा लेजाता, और मैंने जहन्नम में बिल्ली वाली औरत को देखा जिसने बिल्ली पकड़कर बाँध रखी थी न उसे कुछ खिलाया न छोड़ा कि वह कुछ खालेती वह बिल्ली उसी हालत में भूक से मर गई फिर उसके बाद जन्नत मेरे सामने पेश कीगई यह उस वक़्त कि तुमने मुझे आगे बढ़ते देखा यहाँ तक कि अपनी जगह पर जाकर खड़ा होगया और मैंने हाथ बढ़ाया था और मैंने इरादा किया था कि जन्नत के फलों में से कुछ लेलूँ कि तुम भी उन्हें देखलो फिर मेरी समझ में आया कि ऐसा न करूँ।

हदीस (7) बैहक़ी ने शोअ़बुल ईमान और दारे क़ुत्नी ने मुजतबा में अबूहुर्रा रक़्क़ाशी से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "ख़बरदार तुम लोग ज़ुल्म न करना सुनलो किसी का माल बिग़ैर उसकी ख़ुशी के हलाल नहीं"।

हदीस (8) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने साइब इब्ने यज़ीद से वह अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "कोई शख़्स अपने भाई (मुसलमान) की छड़ी हंसी, मज़ाक़ में वाक़ेई तौर पर न लेले यानी ज़ाहिर तो यह है कि मज़ाक़ कर रहा है और

हक़ीक़त यह है कि लेना ही चाहता है और जिसने इस तरह ली हो वह वापस करदे''।

हदीस् (9) इमाम अहमद व अबूदाऊद व नसाई समुरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया ''जो शख़्स अपना बिऐनिही माल किसी के पास पाये तो वही हक़दार है और वह शख़्स जिसके पास माल था अगर उसने किसी से ख़रीदा है तो वह अपने बाइअ् से मुतालबा करे''।

हदीस् (10) अबूदाऊद ने समुरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''जब कोई शख़्स जानवरों में पहुँचे (और दूध दोहना चाहे) अगर मालिक वहाँ हो तो उससे इजाज़त लेले और वहाँ न हो तो तीन मरतबा मालिक को आवाज़ दे अगर कोई जवाब दे तो उससे इजाज़त लेकर दोहे और जवाब न आये तो दोहकर पीले वहाँ से ले न जाये'' (यह हुक्म उस वक़्त है कि यह शख़्स मुज़तर हो)

हदीस (11) तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''जो शख़्स बाग़ में जाये तो खाये, झोली में रख कर ले न जाये'' (यह भी इज़्तिरार की सूरत में है या वहाँ का ऐसा उर्फ होगा)

हदीस् (12) अबूदाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा राफ़ेअ् इब्ने उ़मर व ग़फ़्फ़ारी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कहते हैं मैं लड़का था अन्सार के पेड़ों से खजूरें झाड़ रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाये और फ़रमाया ''ऐ लड़के पेड़ों पर क्यों ढेले फेंकता है'' मैंने अ़र्ज़ की झाड़कर खाता हूँ फ़रमाया ''झाड़ो मत जो नीचे गिरी हैं उन्हें खालो'' फिर उनके सर पर हाथ फेर कर दुआ की ''इलाही तू इसे आसूदा करदे''।

हदीस् (13) त़ब्रानी ने अश्अस् इब्ने क़ैस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि फ़रमाया नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ''जो शख़्स पराया माल ले लेगा वह क़ियामत के दिन अल्लाह तआला से कोढ़ी होकर मिलेगा''

माले मुतक़व्विम मोहतरम मन्कूल (मन्कूल वह माल है जो एक जगह से दूसरी जगह लेजाया जा सके (अमीनुल क़ादरी)) से जाइज़ क़ब्ज़ा को हटाकर नाजाइज़ क़ब्ज़ा करना ग़सब है जबकि यह क़ब्ज़ा खुफ़ियतन न हो इस ना'जाइज़ क़ब्ज़ा करने वाले को ग़ासिब और मालिक को मग़सूब मिन्हु और चीज़ को मग़सूब कहते हैं जिस चीज़ पर ना'जाइज़ क़ब्ज़ा हुआ मगर किसी जाइज़ क़ब्ज़ा को हटाकर नहीं हुआ वह ग़सब नहीं मस्लन जो चीज़ ग़सब की थी उसमें कुछ ज़ाइद चीज़ें पैदा होगईं, जैसे जानवर ग़सब किया था उससे बच्चा पैदा हुआ गाय ग़सब की थी उसका दूध दुहा उन ज़वाइद को ग़सब करना नहीं कहा जायेगा, ग़ैर मुतक़व्विम चीज़ पर क़ब्ज़ा किया यह भी ग़सब नहीं मस्लन मुसलमान के पास शराब थी उसने छीन ली और माले मोहतरम न हो जैसे हरबी काफिर का माल छीन लिया यह भी ग़सब नहीं ग़ैर मन्कूल पर क़ब्ज़ा ना'जाइज़ किया यह भी ग़सब नहीं। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला.1:– बाज़ ऐसी सूरतें भी हैं कि अगर्चे वह ग़सब नहीं हैं मगर उनमें ग़सब का हुक्म जारी होता है यानी ज़मान का हुक्म दिया जाता है इस वजह से उनको भी ग़सब से तअ्बीर किया जाता है मस्लन मूदअ् ने वदीअ़त से इन्कार कर दिया हलाक करदिया कि यहाँ तावान लाज़िम है। पड़ा माल उठाया और उसपर गवाह नहीं बनाया, पराई मिल्क में कुँआ खोदा और उसमें किसी की चीज गिरकर हलाक होगई और उनके एलावा बहुत सी ऐसी सूरतें हैं जिनमें तावान का हुक्म है और वहाँ ग़सब नहीं कि उन सब सूरतों में तअ़द्दी की वजह से ज़मान लाज़िम आता है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.2:– जानवर को ग़सब कर लाया उसके साथ लगा हुआ बच्चा चला आया या ग़सब के बाद बच्चा पैदा हुआ बच्चा का तावान ग़ासिब पर नहीं या बच्चा को ग़सब कर लाया और उसे हलाक करदिया इस के जुदा होने से गाय का दूध सूख गया यहाँ बच्चा का ज़मान है और गाय में जो कमी हुई उसका नुक़सान देना होगा। यह नुक़सान तअ़द्दी की वजह से है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.3:– किसी शख़्स का मिट्टी का ढेला या एक क़तरा पानी लेलिया अगर्चे बिग़ैर इजाज़त ऐसा करना जाइज़ नहीं मगर यह ग़सब नहीं कि माले मुतक़व्विम नहीं। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.4:– छुपाकर किसी की चीज़ लेली जिसको चोरी कहते हैं अगर दस दिरहम क़ीमत की है जिसमें हाथ काटा जाता है यह ग़सब नहीं कि हलाक होने से यहाँ तावान लाज़िम नहीं।(रद्दुलमुहतार

मसअ्ला.5:– दूसरे के जानवर पर बिग़ैर इजाज़ते मालिक बोझ लादना या सवार होना बल्कि मुश्तरक जानवर पर बिग़ैर इजाज़ते शरीक बोझ लादना या सवार होना ग़सब है हलाक होने से तावान देना होगा दूसरे के बिछौने पर बिग़ैर इजाज़त बैठना ग़सब नहीं अगर वह हलाक होजाये तो तावान नहीं जब तक उसके फ़ेअ्ल से हलाक न हो। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– ग़सब का हुक्म यह है कि अगर मा'लूम हो कि दूसरे का माल है तो ग़ासिब गुनहगार है और चीज़ मौजूद हो तो मालिक को वापस करदे मौजूद न हो तो तावान दे और मा'लूम न हो कि पराया माल है तो उसका हुक्म वापस करना या चीज़ मौजूद न हो तो तावान देना है और उस सूरत में गुनाहगार नहीं हुआ। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– ग़ासिब से दूसरा शख़्स छीन लेगया तो मग़सूब मिन्हु को या'नी जिस की चीज़ ग़सब की गई उसे इख़्तियार है कि ग़ासिब से ज़मान ले या ग़ासिबुल'ग़ासिब से। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– शय मौक़ूफ़ ग़सब की जिसकी क़ीमत एक हज़ार है फिर ग़ासिब से किसी ने ग़सब करली और उस वक़्त उसकी क़ीमत दो हज़ार है तो अगर ग़ासिब दोम ग़ासिबे अव्वल से ज़्यादा मालदार है उसी ग़ासिबे दोम से तावान ले वरना मुतवल्ली को इख़्तियार है जिससे चाहे ले और जिस एक से लेगा दूसरा बरी होजायेगा। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.9:– पराई दीवार गिरादी तो मालिक का जो कुछ नुक़्सान हुआ लेले उसमें दो सूरतें हैं एक यह कि दीवार की क़ीमत उससे वसूल करे और गिरा हुआ मलबा उसे देदे या मलबा ख़ुद लेले और दीवार की क़ीमत से मलबे की क़ीमत कम करके बाक़ी उससे वसूल करे उसको यह हक़ नहीं कि उससे दीवार बनाने का मुतालबा करे हाँ अगर मस्जिद या किसी इमारते मौक़ूफ़ा की दीवार किसी ने गिराई है तो उसे दीवार बनवानी होगी। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.10:– दीवार गिराने वाले ने अगर वैसी ही दीवार बनवादी तो ज़मान से बरी होजायेगा और अगर दीवार में नक़्श व निगार फूल पत्ते हैं तो उनका भी तावान देना होगा और अगर तस्वीरें बनी हैं तो रंग का ज़मान है तसावीर का ज़मान नहीं। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.11:– जिस चीज़ को जहाँ से ग़सब किया वहीं वापस करना होगा ग़ासिब अगर दूसरे शहर में देना चाहता है मालिक उससे कह सकता है कि जहाँ से लाये हो वहीं चलकर देना(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– ग़ासिब के वापस करने के लिये यह ज़रूरी नहीं है कि इस तरह वापस करे कि मालिक को इल्म होजाये अगर इसकी ला'इल्मी में चीज़ वापस करदी बरी होगया मस्लन उसके सन्दूक़ या थैली में से रुपये निकाल लेगया था फिर उसमें रख आया और मालिक को पता न चला यह वापसी भी सहीह है। यूंही अगर किसी दूसरे नाम से मालिक को देदी जब भी बरी होजायेगा मस्लन मालिक को हिबा किया या वदीअ्त के नाम से उसे देआया बल्कि अगर वह चीज़ खाने की थी मालिक को खिलादी इस सूरत में भी बरी होजायेगा। मगर उस चीज़ में अगर तग़ईर(तब्दीली) करदी है और मालिक को दे आया तो बरी नहीं मस्लन कपड़े को क़त्अ़ करके उसको सी कर मालिक को दिया या गेहूँ को पिसवाकर उसकी रोटी मालिक को खिलादी या शकर का शरबत बनाकर पिलादिया। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.13:– गेहूँ ग़सब किये थे मालिक को यह गेहूँ पीसने को देआया पीसने के बाद उसे मा'लूम हुआ कि यह तो मेरे ही गेहूँ हैं। आटे को रोक सकता है यूहीं सूत ग़सब किया था और मालिक को कपड़ा बुनने के लिये देआया कपड़ा बुनने के बाद मालिक को मा'लूम हुआ कि यह सूत मेरा ही था

कपड़ा रख सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– सोते में अँगूठी या जूते या टोपी उतारली अगर वहाँ से ले नहीं गया और पहनादी तो ज़मान नहीं और वहाँ से लेगया तो अब बेदारी में देने से ज़मान से बरी होगा और सोते में पहना देगा तो बरी न होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– ग़ासिब ने मग़सूब को मालिक की गोद में रख दिया उसको यह नहीं मालूम हुआ कि मेरी चीज़ है उसकी गोद में से कोई दूसरा उठा लेगया ग़ासिब बरी होगया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– जो चीज़ ग़सब की और वह हलाक होगई उसकी दो सूरतें हैं अगर वह चीज़ क़ियमी है तो क़ीमत तावान दे और मिस्ली है तो उसकी मिस्ल तावान में दे और मिस्ली है मगर इस वक़्त मौजूद नहीं है यानी बाज़ार में नहीं मिलती अगर्चे घरों में उसका वजूद है तो इस सूरत में भी क़ीमत तावान में दे सकता है। (हिदाया वग़ैरहा)

मसअ्ला.17:– मिस्ली चीज़ अगर दूसरी जिन्स के साथ मख़लूत (मिलजाये) होजाये और तमीज़ दुश्वार हो जैसे गेहूँ को जौ में मिलादिया या तमीज़ न होसके जैसे तिल का तेल कि उसको रोग़ने ज़ैतून में मिलादिया या पाक तेल को नापाक तेल में मिलादिया अब यह मिस्ली नहीं है बल्कि क़ियमी है यूंही अगर उसमें सन्अ़त की वजह से इख़्तिलाफ़ पैदा होजाये मस्लन तांबे वग़ैरा के बर्तन कि यह भी क़ियमी हैं अगर्चे तांबा मिस्ली था। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.18:– बाज़ ज़वातुल'कय्यिम और ज़वातुल'अमसाल की तफ़सील। पनीर ज़मान के बारे में क़ीमती है और दीगर उमूर में मस्लन सलम के बाब में मिस्ली है कि उसमें सलम सही है। कोयला, गोश्त अगर्चे कच्चा हो। ईंट, साबुन, गोबर, दरख़्त के पत्ते, सुई, चमड़ा कच्चा हो या पकाया हुआ नजिस तेल, निस्फ़ साअ् से कम ग़ल्ला, रोटी, पानी, कुस्म, तांबे, पीतल ,मिट्टी के बर्तन, अनार, सेब, खीरा, ककड़ी तरकारियाँ, दही, चर्बी, दुम्बे की चक्की उन सब की निस्बत क़ियमी होना मुसर्रह है। तांबा, पीतल, लोहा, सीसा, खजूर की सब क़िस्में एक ही जिन्स हैं। सिर्का, रूई, आटा, ऊन, काती हुई ऊन, रेशम, चूना, रुपया, अशर्फ़ी, पैसा, भूसा, मेहन्दी, वसमा (नील के पत्ते जिनसे ख़िज़ाब तैयार किया जाता है) ख़ुश्क फूल, काग़ज़, दूध इन चीज़ों के मिस्ली होने की तसरीह है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.19:– मिस्ली और क़ियमी के मुतअ़ल्लिक़ क़ाइदा–ए–कुल्लिया यह है कि जिस चीज़ की मिस्ल बाज़ार में पाई जाती हो और उसकी क़ीमतों में मोअ्तद'बिही फ़र्क़ न हो वह मिस्ली है जैसे अन्डे, अख़रोट और जिनकी क़ीमतों में बहुत कुछ तफ़ावुत होता है जैसे गाय, भैंस, आम, अमरूद वग़ैरहा यह सब क़ियमी हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.20:– कपड़े जो गज़ों से बिकते हैं जैसे मल'मल, लठ्ठा वग़ैरा कि इसकी सब तहें एकसी होती हैं यह मिस्ली हैं और जो कपड़े ऐसे होते हैं कि गज़ों से न बिकें वह क़ियमी हैं। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.21:– ग़ासिब यह कहता है कि शय मग़सूब हलाक होगई तो उसे हाकिम क़ैद करे जब इतना ज़माना गुज़र जाये कि यह मालूम होजाये कि अगर इसके पास चीज़ होती तो ज़रूर ज़ाहिर कर देता क़ैद ख़ाना में पड़ा न रहता तो अब इस के'मुतअ़ल्लिक़ तावान का हुक्म होगा ख़्वाह मिस्ल तावान दिलाई जाये या क़ीमत। (हिदाया, वग़ैरहा)

मसअ्ला.22:– ग़ासिब कहता है कि मैंने चीज़ मालिक को वापस करदी थी उसके यहाँ हलाक हुई और मालिक कहता है ग़ासिब के पास हलाक हुई और दोनों ने सुबूत के गवाह पेश किये ग़ासिब के गवाहों को तरजीह दी जायेगी और क़ीमत में इख़्तिलाफ़ हो तो मालिक के गवाह मोअ्तबर हैं और अगर ख़ुद मग़सूब में इख़्तिलाफ़ हो ग़ासिब कहता है मैंने यह चीज़ ग़सब की और मालिक कहता है वह चीज़ ग़सब की तो क़सम के साथ ग़ासिब का क़ौल मोअ्तबर है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ल.23:– किसी की जायदाद ग़ैर मन्कूला छीन ली (यह हक़ीक़तन ग़सब नहीं है जैसा कि हम ने पहले बयान किया) अगर यह चीज़ मौजूद है तो मालिक को दिलादी जायेगी और अगर हलाक होगई

मस्लन मकान था गिरगया और हलाक होना आफ़ते समाविया से हो मस्लन ज़मीन दरिया बुर्द होगई, मकान बारिश की कस्रत से या ज़लज़ला या आँधी से गिरगया तो ज़मान वाजिब नहीं और अगर हलाक होना किसी के फ़ेअ्ल से हो तो उसपर ज़मान वाजिब है ग़ासिब ने हलाक किया हो तो ग़ासिब तावान दे किसी और ने किया हो तो वह दे और अगर वह चीज़ मस्लन मकान मौजूद है मगर ग़ासिब के रहने, इस्तेअ्माल करने की वजह से उसमें नुक़सान पैदा होगया है या खेत में ज़राअ़त करने की बजह से ज़मीन कमज़ोर होगई तो इस नुक़सान का तावान देना होगा। और नुक़सान का अन्दाज़ा यूँ किया जायेगा कि उस जमीन का उस हालत में क्या लगान होता और अब क्या है मकान की उस हालत में क्या क़ीमत होती और इस हालत में क्या है। (हिदाया, आलमगीरी)

मसअ्ला.24:– ज़मीन ग़सब की और काश्त की जिसकी वजह से उसे ज़मीन का नुक़सान देना पड़ा तो बीज और यह नुक़सान की मिक़दार पैदावार में से लेले बाक़ी जो कुछ ग़ल्ला है उसे तसद्दुक़ करदे मस्लन मन भर बीज डाले थे और एक मन की क़ीमत की क़द्र ज़मान देना पड़ा और खेत में चार मन ग़ल्ला पैदा हुआ तो दो मन खुद लेले और दो मन सदक़ा करदे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.25:– जायदादे मौकूफ़ा (वक़्फ़ की जायदाद) मकान या ज़मीन को ग़सब किया उसका तावान देना होगा अगर्चे उसने खुद हलाक न की हो बल्कि उससे जो कुछ मनफ़अ़त (फ़ायदा) हासिल की है उस का भी तावान देना होगा मकान में सुकूनत की तो वाजिबी (राइज) किराया लिया जायेगा ज़मीन में ज़राअ़त की तो लगान वसूल किया जायेगा उसी तरह ना'बालिग़ की जायदाद ग़ैर मनक़ूला पर क़ब्ज़ा किया तो उसका ज़मान लिया जायेगा और मुनाफ़अ् हासिल किये तो उजरते मिस्ल भी ली जायेगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.26:– चीज़ में नुक़सान की चार सूरतें हैं (1)नर्ख़ का कम होजाना (2)उस के अजज़ा का जाता रहना मस्लन गुलाम की आँख जाती रही। (3)वस्फ़ मरगूब फ़ी का फ़ौत होजाना मस्लन बहरा होगया, आँख की रौशनी जाती रही, गेहूँ खुश्क होगया, सोने चाँदी के ज़ेवर थे टूटकर सोना चाँदी रह गये। (4)मअ्ना मरग़ूब फ़ी जाते रहे मस्लन गुलाम कोई काम करना जानता था ग़ासिब के पास जाकर वह काम भूलगया पहली सूरत में अगर मग़सूब चीज़ देदी तो ज़मान नहीं और दूसरी सूरत में मुतलक़न ज़मान वाजिब है और तीसरी सूरत में अगर मग़सूब अम्वाले रिबा में से न हो तो ज़मान वाजिब है और वह मग़सूब अम्वाले रिबा में से हो तो ज़मान नहीं मस्लन गेहूँ ग़सब किये थे वह ख़राब होगये या चाँदी का बर्तन या ज़ेवर ग़सब किये थे और ग़ासिब ने तोड़ डाले उसमें मालिक को इख़्तियार है कि वही ख़राब लेले या उसका मिस्ल लेले यह नहीं होसकता कि वह चीज़ भी ले और नुक़सान का मुआवज़ा भी ले और चौथी सूरत में अगर मअ्मूली नुक़सान है तो नुक़सान का ज़मान लेसकता है और ज़्यादा नुक़सान है तो मालिक को इख़्तियार है कि वह चीज़ लेले और जो कुछ नुक़सान हुआ वह ले या चीज़ को न ले बल्कि उसकी पूरी क़ीमत वसूल करे। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.27:– मग़सूब शय को उजरत पर दिया और उससे उजरत हासिल की और फ़र्ज़ करो उजरत पर देने से उस चीज़ में नुक़सान पैदा होगया तो जो कुछ नुक़सान का मुआवज़ा देने के बाद उस उजरत में से बचे उसको सदक़ा करदे यूंही अगर मग़सूब हलाक होगया तो उस उजरत से तावान दे सकता है और उसके बाद कुछ बचे तो तसद्दुक़ करदे और अगर ग़ासिब ग़नी हो तो कुल आमदनी तसद्दुक़ करदे। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.28:– मग़सूब या वदीअ़त अगर मुअ़य्यन चीज़ हो उसे बेचकर नफ़अ् हासिल किया तो उस नफ़अ् को सदक़ा करदेना वाजिब है मस्लन एक चीज़ की क़ीमत सौ रूपये थी और ग़ासिब ने उसे सवा सौ में बेचा सौ रूपये तावान के देने होंगे और पच्चीस रुपये को सदक़ा कर देना होगा और अगर वह चीज़ ग़ैर मुतअ़य्यन यानी अज़ क़बीले नुक़ूद (यानी सोने, चाँदी, रूपये, पैसे) हो तो उसमें चार सूरतें हैं। (1)अ़क़्द व नक़्द दोनों उसी हराम माल पर मुजतमेअ् हों मस्लन यूँ कहा कि उस रूपये की फ़ुलां चीज़ दो फिर वही रुपया देदिया था फिर उससे चीज़ ख़रीदी यह चीज़ हराम है

(2)अ़क़्द हो नक़्द न हो यानी ह़राम रुपया की त़रफ़ इशारा करके कहा कि उसकी फ़ुलाँ चीज़ दो मगर बाइअ़ को यह रुपया नहीं दिया बल्कि दूसरा दिया। (3)अ़क़्द न हो नक़्द हो बाइअ़ से ह़राम की त़रफ़ इशारा करके नहीं कहा कि उस रुपया की चीज़ दो बल्कि मुत़लक़न कहा कि एक रुपया की चीज़ दो मगर स़मन में यही ह़राम रुपया अदा किया उन तीन स़ूरतों में तस़द्दुक़ वाजिब नहीं है और बाज़ फ़ुक़हा उन सूरतों में भी तस़द्दुक़ को वाजिब कहते हैं और यह क़ौल भी बाक़ुव्वत है मगर ज़माना की ह़ालत देखते हुए कि ह़राम से बचना बहुत दुश्वार होगया क़ौले अव्वल पर बाज़ उ़लमा ने फ़तवा दिया है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुह़तार)

मग़स़ूब चीज़ में तग़ईर

मसअ्ला.1:– मग़स़ूब में ऐसी तब्दीली करदी कि वह दूसरी चीज़ होगई यानी पहला नाम भी बाक़ी न रहा और उसके अकस़र मक़ासि़द भी जाते रहे या उसको अपनी चीज़ या दूसरे की चीज़ में उस त़रह मिला दिया कि तमीज़ न होसके मस़्लन गेहूँ को गेहूँ में मिला दिया या दुश्वारी से जुदा होसके मस़्लन जौ में गेहूँ मिला दिये तो ग़ासि़ब तावान देगा और उस चीज़ का मालिक होजायेगा मगर ग़ासि़ब उस चीज़ से नफ़अ़ हासि़ल नहीं कर सकता जब तक तावान न देदे, या मालिक उसे मुआ़फ़ न करदे, या काज़ी उसके तावान का हुक्म न करदे, यानी मालिक की रज़ा'मन्दी दरकार है और वह उन तीन सूरतों से होती है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– रुपया ग़सब करके गला दिया तो अगर्चे अब वह नाम बाक़ी न रहा उसे रुपया नहीं कहा जायेगा मगर इस के अकस़र मक़ासि़द अब भी बाक़ी हैं कि अब भी वह स़मन है उसका ज़ेवर वग़ैरा बन सकता है लिहाज़ा मालिक को वापस लेने का ह़क़ बाक़ी है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– मालिक मौजूद नहीं है परदेस चला गया है ग़ासि़ब चाहता है कि उसकी चीज़ वापस करदे मगर मालिक के इन्तिज़ार में चीज़ ख़राब होने का अन्देशा है तो लोगों को गवाह बनाले कि मैं उसे ज़मान दे दूँगा अब इस से नफ़अ़ हासि़ल कर सकता है। (रद्दुल'मुह़तार)

मसअ्ला.4:– खाने की चीज़ ग़सब की और उसको चबाया कि चीज़ उस क़ाबिल न रही कि मालिक को वापस दीजाये मगर चूंकि ज़मान दिया नहीं लिहाज़ा ह़ल्क़ से उतारना लुक़मा ह़राम निगलना है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– बकरी ग़सब करके ज़बह़ करडाली उसका गोश्त भूना या पकाया या गेहूँ ग़सब करके आटा पिसवाया या खेत में बोदिये या लोहा ग़सब करके उसकी तलवार, छुरी वग़ैरा बनवाली या तांबा पीतल ग़सब करके उनके बर्तन बनवा लिये उन सब स़ूरतों में ग़ासि़ब के ज़िम्मा ज़मान लाज़िम होगा और चीज़ ग़ासि़ब की मिल्क होजायेगी मगर बे'रज़ामन्दी मालिक इन्तिफ़ाअ़ (फ़ायदा उठाना) ह़लाल नहीं। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– बकरी ज़बह़ करडाली बल्कि बोटी भी बनाली तो अब भी मालिक ही की मिल्क है मालिक को इख़्तियार है कि बकरी की क़ीमत लेकर बकरी ग़ासि़ब को देदे या बकरी खुद लेले और ग़ासि़ब से नुक़स़ान का मुआवज़ा ले अगर बकरी का आगे का पाँव काट लिया जब भी यही हुक्म है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– जो जानवर ह़लाल नहीं हैं उनके हाथ पाँव काट डाले तो काटने वाले पर क़ीमत वाजिब है। जानवर के कान या दुम काट डाली नुक़स़ान का तावान देना होगा। घोड़ा ख़च्चर गधा और वह जानवर जिससे काम लिया जाता है जैसे बैल, भैंस उन की आँख फोड़दी तो चौथाई क़ीमत तावान दे और जिनसे काम नहीं लिया जाता जैसे गाय, बकरी उनकी आँख फोड़दी तो जो कुछ नुक़स़ान हुआ वह तावान दे। गधे को ज़बह़ कर डाला तो पूरी क़ीमत वाजिब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– मग़स़ूब चीज़ मौजूद है मगर उसके लेने में ग़ासि़ब का नुक़स़ान होगा मस़्लन शहतीर (बड़ी कड़ी) ग़सब कर मकान में लगाली कि अब उसके निकालने में ग़ासि़ब का मकान तोड़ना होगा या ईंटें ग़सब करके इमारत चुनवाई तो इस स़ूरत में ग़ासि़ब से उसकी क़ीमत दिलवाई जायेगी

ग़ासिब को क़ीमत देनी होगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– बिला क़स्द एक शख़्स की चीज़ दूसरे की चीज़ में इस तरह चलीगई कि बिग़ैर नुक़सान उस चीज़ को हासिल न किया जासके तो जिसकी चीज़ ज़्यादा क़ीमत की हो वह कम क़ीमत वाले को नुक़सान दे मस्लन एक शख़्स की अशर्फ़ी दूसरे की दवात में चलीगई और जब तक दवात न तोड़ी जाये अशर्फ़ी न निकल सके तो दवात तोड़ी जायेगी और उसकी क़ीमत अशर्फ़ी वाला देगा या मुर्ग़ी ने मोती निगल लिया या गाय ने देग में सर डालदिया और किसी तरह बाहर नहीं निकलता और अगर आदमी ने मोती निगल लिया तो मोती की क़ीमत तावान दे और आदमी निगलकर मरगया तो पेट चाक करके मोती निकाला जासकता है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.10:– सोना या चाँदी ग़सब करके रुपया, अशर्फ़ी या बर्तन बनालिया तो मालिक की मिल्क बदस्तूर क़ाइम है मालिक उन चीज़ों को लेलेगा और बनाने का कोई मुआवज़ा न देगा।(हिदाया)

मसअ्ला.11:– ग़ासिब ने कपड़ा ग़सब किया था और उसे फाड़डाला उसमें तीन सूरतें हैं। (1)अगर इस तरह फाड़ा कि काम का न रहा तो पूरी क़ीमत तावान दे। (2)और अगर ज़्यादा फाड़ा कि उस के बाज़ मुनाफ़ेअ् फ़ौत होगये मगर काम का है तो मालिक को इख़्तियार है कि कपड़ा ग़ासिब को दे दे और पूरी क़ीमत वसूल करले या कपड़ा ख़ुद ही रखले और जो कमी होगई उसका तावान ले। (3)और अगर थोड़ा फाड़ा है कि उसके मुनाफ़ेअ् बदस्तूर बाक़ी हैं मगर उसमें ऐब पैदा होगया तो मालिक को कपड़ा रख लेना होगा और नुक़सान का तावान ले सकता है और अगर फाड़ कर उसने कुछ सन्अ़त की मस्लन उसका कुर्ता वग़ैरा बनालिया तो मालिक की मिल्क जाती रही सिर्फ़ क़ीमत तावान में ले सकता है। (हिदाया, वग़ैरहा)

मसअ्ला.12:– कपड़ा ग़सब करके रंग दिया मालिक को इख़्तियार है कि कपड़ा लेले और रंग की क़ीमत देदे यानी रंग की वजह से कपड़े की क़ीमत में जो कुछ ज़्यादती हुई वह देदे और चाहे तो सफ़ेद कपड़े की क़ीमत तावान ले और कपड़ा ग़ासिब ही को देदे या चाहे तो कपड़ा बैअ् करके कपड़े की क़ीमत के मुक़ाबिल में समन का जो हिस्सा है ख़ुद ले और रंग की ज़्यादती के मुक़ाबिल में समन का जो हिस्सा है वह ग़ासिब को देदे। (हिदाया, आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– अगर कपड़ा दूसरे के रंग में गिर गया और उस पर रंग आगया तो मालिक को इख़्तियार है कि कपड़ा लेकर रंग की क़ीमत देदे या कपड़ा बेचकर समन को क़ीमत पर तक़सीम करदे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– रंग ग़सब करके अपना कपड़ा रंगलिया तो रंग का तावान देना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– एक शख़्स का कपड़ा ग़सब किया दूसरे का रंग ग़सब किया और कपड़ा रंगलिया तो कपड़े का मालिक कपड़ा लेले और रंग वाले को रंग या उसकी क़ीमत देदे या चाहे तो कपड़ा बेचकर समन दोनों पर तक़सीम कर दिया जाये और अगर एक ही शख़्स के कपड़े और रंग दोनों को ग़सब किया और रंगदिया तो मालिक को इख़्तियार है कि रंगा हुआ कपड़ा लेले और इस सूरत में ग़ासिब को कुछ नहीं दिया जायेगा और चाहे तो ग़ासिब को ही वह कपड़ा देदे और कपड़े और रंग दोनों का तावान ले। (आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– कपड़ा ग़सब करके धोया या उसमें फुन्ने बनाये जिस तरह रुमाल तौलिया में बनाते हैं तो मालिक अपना कपड़ा लेले और ग़ासिब को धोने या फुन्ने बटने का कोई मुआवज़ा नहीं दिया जायेगा हाँ अगर झालर लगाई तो उसका हुक्म वही है जो रंग का है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.17:– सत्तू ग़सब करके उसमें घी मलदिया तो मालिक को इख़्तियार है कि सत्तू का तावान ले और यह सत्तू ग़ासिब को देदे या यह सत्तू ख़ुद लेले और उतना ही घी ग़ासिब को देदे।

मसअ्ला.18:– चाँदी या सोने के ज़ेवर या बर्तन ग़सब करके तोड़, फोड़ डाले तो मालिक को इख़्तियार है कि वही टूटा, फूटा लेले और तोड़ने से जो नुक़सान हुआ है उसका मुआवज़ा कुछ नहीं मिल सकता कि सूद होगा और चाहे तो यह कर सकता है कि चाँदी के ज़ेवर या बर्तन की क़ीमत

सोने से लगाकर उतना सोना लेले और सोने के बर्तन या ज़ेवर की क़ीमत चाँदी से लगाकर उतनी चाँदी लेले कि जिन्स बदल जाने की सूरत में सूद न होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.19:– चाँदी की चीज़ पर सोने का मुलम्मअ् था ग़ासिब ने मुलम्मअ् दूर करदिया मालिक को इख़्तियार है कि अपनी यही चीज़ लेले और नुक़सान का मुआवज़ा कुछ नहीं लेसकता और चाहे तो ग़ैर जिन्स से उस मुलम्मअ् शुदा चीज़ की क़ीमत का तावान ले और अगर बैअ् में यही सूरत होती कि मुलम्मअ् शुदा चीज़ ख़रीदकर मुश्तरी ने उसके मुलम्मअ् को दूर करदिया फिर उसके बाद उस चीज़ के किसी ऐबे साबिक़ (यानी ख़रीदने से पहले जो ऐब था) पर मुत्तलअ् हुआ तो न चीज़ को वापस कर सकता कि उसने उस में एक जदीद ऐब पैदा कर दिया और न नुक़सान ले सकता कि सूद होगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.20:– तांबे, लोहे, पीतल की चीज़ें अगर अपनी सन्अ़त की वजह से हद्दे वज़न से ख़ारिज न हुई हों यानी अब भी वह वज़न से बिकती हों और उनको ग़ासिब ने ख़राब कर डाला तो मालिक को इख़्तियार है कि उसी जिन्स को तावान में ले और उस सूरत में कुछ ज़्यादा नहीं ले सकता और चाहे तो रुपये पैसे से उस की क़ीमत लेले ख़राबी थोड़ी हो या ज़्यादा सब का एक हुक्म है और अगर हद्दे वज़न से ख़ारिज होकर गिन्ती से बिकती हों तो अगर थोड़ा नुक़सान है मालिक यही कर सकता है कि चीज़ अपने पास रखले और नुक़सान का मुआवज़ा ले चीज़ ग़ासिब को देकर क़ीमत नहीं लेसकता और अगर ज़्यादा ऐब पैदा होगया है तो इख़्तियार है कि चीज़ देदे और क़ीमत लेले या चीज़ रखले और नुक़सान वुसूल करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.21:– जानवर ग़सब किया ग़ासिब के यहाँ वह मुद्दत तक रहा, बढ़गया और उसकी क़ीमत ज़्यादा होगई मालिक अपना जानवर लेलेगा और ग़ासिब को कोई मुआवज़ा नहीं मिलेगा; खेत या बाग़ को छीनकर उसको पानी दिया ज़राअत बढ़गई दरख़्त में फल आगये मालिक अपना खेत और बाग़ लेलेगा और कोई मुआवज़ा नहीं देगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.22:– रूई ग़सब करके कतवाली या सूत करके कपड़ा बुनवालिया मालिक कपड़े या सूत को नहीं लेसकता बल्कि रूई या सूत का तावान ले। (आलमगीरी)

मसअ्ला.23:– ज़मीन ग़सब करके उसमें इमारत बनाली या दरख़्त लगाये ग़ासिब को हुक्म दिया जायेगा कि अपनी इमारत उठा लेजा और दरख़्त काटले और अगर इमारत व दरख़्त के निकालने में ज़मीन ख़राब होने का अन्देशा हो तो मालिक ज़मीन दरख़्त या इमारत की क़ीमत देदे और यह इसके हो जायेंगे। क़ीमत उसतरह दिलाई जायेगी कि देखा जाये तन्हा ज़मीन की क्या क़ीमत है और ज़मीन की मअ् इमारत या दरख़्त के क्या क़ीमत है जो कुछ ज़्यादती हो वह ग़ासिब को दिलादी जाये। (हिदाया)

मसअ्ला.24:– ज़मीन ग़सब कर उसी ज़मीन की मिट्टी से दीवार बनवाई तो यह दीवार भी मालिक ज़मीन की है उसका मुआवज़ा ग़ासिब को नहीं मिलेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.25:– लकड़ी ग़सब करके चीर डाली वह अबतक मालिक ही की मिल्क है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.26:– लकड़ी चीरने के लिये आरा आ़रियत लिया वह टूटगया और उसने बिला इजाज़त मालिक उसे जुड़वाया टूटे हुए आरा की क़ीमत मालिक को दे और यह आरा उसी का होगया। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.27:– मुर्दार का चमड़ा ग़सब करके उसे पका लिया अगर ऐसी चीज़ से पकाया जिसकी कोई क़ीमत नहीं जब तो मालिक चमड़े को मुफ़्त लेलेगा और अगर ऐसी चीज़ से पकाया जिसकी कोई क़ीमत है तो जो कुछ पकाने से चमड़े की क़ीमत में ज़्यादती हुई ग़ासिब को मालिक देगा यानी अगर यह चमड़ा मज़बूह का होता तो क्या क़ीमत होती और अब पकने पर क्या क़ीमत है जो कुछ क़ीमत में इज़ाफ़ा हो ग़ासिब को दे और अगर ग़ासिब के पास वह चमड़ा बिग़ैर किसी के फ़ेअ्ल के ज़ाइअ् होगया तो ग़ासिब से तावान नहीं लिया जायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.28:– दरवाज़े का एक बाज़ू तल्फ़ करदिया या मौज़े या जूते में से एक को तल्फ़ कर दिया तो मालिक को इख़्तियार है कि दूसरा भी उसी को देकर दोनों बाज़ू या दोनों मौज़े या दोनों जूते की क़ीमत उससे वसूल करे अगर अँगूठी का हल्क़ा ख़राब कर डाला नगीना बाक़ी है तो सिर्फ़ हल्क़ा ही का तावान ले सकता है। (आलमगीरी)

इतलाफ़ (चीज़ बर्बाद होने) से कहाँ ज़मान वाजिब है कहाँ नहीं

मसअ्ला.1:– अन्डा तोड़दिया अन्दर से गन्दा निकला या अख़रोट तोड़दिया अन्दर से ख़ाली निकला ज़मान वाजिब नहीं कि यह माल नहीं है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– चटाई की बनावट खोल डाली या दरवाज़े की चोखट अलग करदी या उसी तरह किसी और शय की तर्कीब और बनावट ख़राब करदी अगर उसको पहली हालत पर लाया जा सकता है तो उसको हुक्म दिया जायेगा कि उसी तरह ठीक करदे और ठीक न किया जा हो तो उससे क़ीमत वसूल की जाये और यह टूटी हुई चीज़ उसे देदी जाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– दीवार गिरादी और वैसी ही बनादी तो ज़मान से बरी होगया और लकड़ी की दीवार थी उसी लकड़ी की बनाई बरी होगया और दूसरी लकड़ी की बनाई तो बरी न हुआ हाँ अगर यह उससे बेहतर है तो बरी होजायेगा। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– दूसरे की ज़मीन से मिट्टी उठाई अगर वहाँ मिट्टी की कोई क़ीमत नहीं है और मिट्टी ले लेने से ज़मीन में कोई नुक़सान भी पैदा नहीं हुआ तो कुछ नहीं और ज़मीन में नुक़सान होगया तो नुक़सान का ज़मान दे और अगर मिट्टी की वहाँ क़ीमत है तो तावान बहर हाल है(आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– दूसरे का गोश्त बिग़ैर उसके हुक्म के पका डाला ज़मान देना होगा और अगर मालिक ने गोश्त को देगची में रखकर चूल्हे पर चढ़ादिया और चूल्हे में लकड़ियाँ भी रखदी थीं उसने उस के बिग़ैर कहे लकड़ियों में आग देदी और गोश्त पकगया उसपर तावान नहीं उसी की मिस्ल चार सूरतें और हैं। **अव्वल** यह कि किसी शख़्स के गेहूँ बिग़ैर उसके हुक्म के पीस दे तावान देना होगा और अगर गेहूँ वाले ने गेहूँ पीसने के लिये चक्की में डाले थे और चक्की में बैल जोड़ दिया था उसने बैल को चला दिया और गेहूँ पिस गये तावान नहीं **दोम** यह कि दूसरे का घड़ा उठाया और टूट गया तावान देना होगा और घड़े वाले ने घड़ा झुकाया और उठाना चाहता था उसने हाथ लगादिया और घड़ा दोनों से छूटकर गिरा तावान नहीं **सोम** किसी के जानवर पर बोझ लाद दिया और जानवर हलाक होगया तावान है और अगर मालिक ने बोझ लादा था और वह बोझ रास्ते में गिर पड़ा उसने उठाकर लाद दिया और जानवर हलाक होगया तावान नहीं **चहारुम** किसी के कुर्बानी का जानवर अय्यामे कुर्बानी के सिवा दूसरे दिनों में ज़बह किया तावान है और कुर्बानी के दिनों में ज़बह करडाला जाइज़ है और तावान नहीं जिन सूरतों में तावान नहीं उसकी वजह यह है कि अगर्चे सराहतन इजाज़त नहीं है मगर दलालतन इजाज़त है और दलालतन भी एअ्तिबार की जाती है जबकि सराहत के ख़िलाफ़ न हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– एक शख़्स ने दीवार गिराने के लिये मज़दूर इकट्ठे किये थे उसकी दीवार बिला इजाज़त गिरादी तावान नहीं कि यहाँ दलालतन इजाज़त है। उसका क़ाइदा–ए–कुल्लिया यह है कि जो काम ऐसा है कि उसमें जिससे भी मदद लेलें फ़र्क़ नहीं होता उसमें दलालत काफ़ी है और अगर हर शख़्स यकसाँ न कर सकता हो तो हर शख़्स के लिये इजाज़त नहीं है मसलन बकरी ज़बह करके खाल खींचने के लिये लटकादी थी कोई आया और उसने बिग़ैर इजाज़त खाल खींची ज़ामिन है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– क़स्साब ने बकरी ख़रीदी थी और बिग़ैर इजाज़त किसी ने ज़बह करडाली ज़मान देना होगा और अगर क़स्साब ने बकरी को गिराकर उसके हाथ पाँव ज़बह करने के लिये बाँध रखे थे और उसने ज़बह करदी तावान नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– दूसरे के माल को बिग़ैर इजाज़त खर्च करना चन्द मौक़ों पर जाइज़ है मरीज़ के माल

यानी नुकूद को उसका बाप या बेटा उसकी ज़रूरियात में बिगैर इजाज़त सर्फ कर सकता है सफ़र में कोई शख्स बीमार होगया या वह बेहोश होगया उसके साथ वाले उसकी ज़रूरियात में उसका माल सर्फ कर सकते है। मूदअ्, मूदेअ् के माल को उसके वालिदैन पर खर्च कर सकता है जबकि ऐसी जगह हो कि काजी से इजाजत हासिल न कर सके। सफ़र में कोई शख्स मरगया उसके सामान को बेचकर तजहीज व तकफीन में सर्फ कर सकते हैं और बाकी जो रहजाये वह वुरसा को देदें। मस्जिद का कोई मुतवल्ली नहीं है अहले महल्ला मस्जिद की आमदनी को लोटे, चटाई वग़ैरा ज़रूरियाते मस्जिद में सर्फ कर सकते हैं मय्यित ने किसी को वसी नहीं किया है बड़े वुरसा छोटों पर खर्च कर सकते हैं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.9:– जानवर छूटगया और उसने किसी का खेत चर लिया तावान वाजिब नहीं। बिल्ली ने किसी का कबूतर खा लिया तावान नहीं और अगर कबूतर या मुर्गी पर बिल्ली छोड़ी और उसने उसी वक्त पकड लिया तावान है और कुछ देर बाद पकडा तो तावान नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– मुसलमान के पास शराब थी उसे किसी ने तल्फ करदिया उसपर तावान नहीं तल्फ़ करने वाला मुस्लिम हो या काफिर और जिम्मी की शराब किसी ने तल्फ़ की तो उस पर तावान है। मुस्लिम ने तल्फ की है तो कीमत दे और जिम्मी ने तल्फ की तो उसकी मिस्ल शराब दे। (दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.11:– मुसलमान ने काफिर से शराब खरीदकर पी ली तो न जमान वाजिब है न समन(दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.12:– मुसलमान की शराब गसब करके सिर्का बनालिया अगर ऐसी चीज डालकर बनाया जिस की कुछ कीमत नहीं है मसलन थोडा सा नमक या थोड़े से गेहूँ तो यह सिर्का उसी का है जिसकी शराब थी और अगर ज्यादा नमक वगैरा डाला जिसकी कुछ कीमत है तो सिर्का गासिब का है और गासिब पर तावान भी नही। (दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.13:– किसी ने दूसरे की चीज तल्फ़ करदी मालिक ने उसको जाइज़ रखा कहदिया कि मैंने जाइज़ करदिया मैं उस पर राजी हूँ वह जमान से बरी नहीं होगा यानी मालिक चाहे तो उसके कहने के बाद भी जमान लेसकता है। (तनवीर)

मसअ्ला.14:– गासिब के पास से कोई दूसरा गसब कर के लेगया मालिक को इख्तियार है ग़ासिब अव्वल से तावान ले या गासिब दोम से अगर गासिब अव्वल से ज़मान लिया तो वह ग़ासिब दोम से रुजूअ् करेगा और गासिब दोम से लिया तो वह अव्वल से रुजूअ् नहीं कर सकता यूंही अगर ग़ासिब ने मगसूब को किसी के पास वदीअत रखा तो मालिक उस मूदअ् से तावान लेसकता है एक से जमान लेगा तो दूसरा बरी होजायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– गासिबुल गासिब ने मगसूब चीज गासिबे अव्वल के पास वापस करदी तावान से बरी होगया और मगसूब चीज गासिब दोम ने हलाक करदी और उसकी क़ीमत ग़ासिबे अव्वल को देदी अब भी बरी होगया। अब मालिक उससे तावान का मुतालबा नहीं कर सकता मगर यह ज़रूर है कि मगसूब का वापस करना या उसकी कीमत अदा करना मअ्रूफ हो काज़ी ने उसके मुतअल्लिक़ फ़ैसला किया हो या गवाहों से साबित हो या खुद मालिक ने तस्दीक़ की हो। और अगर यह बातें न हों बल्कि ग़ासिबे अव्वल ने इकरार किया हो कि उसने चीज़ या उसकी क़ीमत मुझ को देदी है तो यह इक़रार महज गासिबे अव्वल के हक में मोअ्तबर है यानी उसको लेने वाला क़रार दिया जायेगा अस्ल मालिक के हक में वह इकरार बेकार है यानी वह अब भी गासिबे दोम से मुतालबा करके जमान वसूल कर सकता है मगर चूंकि गासिबे अव्वल इक़रार कर चुका है लिहाज़ा ग़ासिबे दोम उससे रुजूअ् करेगा और अगर ग़ासिबे अव्वल से मालिक ने ज़मान लिया तो वह दोम से नहीं ले सकता कि मग़सूब या उसकी क़ीमत पाने का इकरार कर चुका है। (दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.16:– गासिब ने मग़सूब को बतौर आरियत देदिया है तो मालिक मुईर (आरियत लेने वाला) व मुस्तईर (आरियत देने वाला) जिससे चाहे ज़मान ले सकता है जिससे लेगा वह दूसरे से नहीं ले सकता

हाँ अगर मुस्तईर ने उस चीज़ को तल्फ़ कर दिया है और मालिक ने मुईर से ज़मान लिया तो वह मुस्तईर से रुजूअ् कर सकता है और ग़ासिब ने हिबा करदिया है और मौहूब'लहू के पास हलाक हो गई और मालिक ने उससे ज़मान लिया तो यह वाहिब से रुजूअ् नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.17:– ग़ासिब ने मग़सूब को बेच डाला और मुश्तरी को तस्लीम करदिया और मालिक ने ग़ासिब से ज़मान लेलिया तो बैअ् सहीह होगई और समन ग़ासिब का होगया और मुश्तरी से ज़मान लिया तो बैअ् बातिल होगई मुश्तरी ग़ासिब से समन वापस ले और अगर मबीअ् मुश्तरी को नहीं दी है तो मुश्तरी से ज़मान नहीं लेसकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– ग़ासिब ने मग़सूब को रहन रख दिया है या उजरत पर देदिया है और मालिक ने मुरतहिन या मुस्ताजिर से तावान लिया तो यह ग़ासिब पर रुजूअ् करेंगे यूंही मूदअ् से तावान लिया तो वह ग़ासिब से वसूल करेगा। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.19:– मालिक को इख़्तियार है कि कुछ हिस्सा ज़मान का ग़ासिब से ले और बाक़ी ग़ासिबुल ग़ासिब से और एक से ज़मान को इख़्तियार करलिया तो अब दूसरे से नहीं लेसकता(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.20:– ग़ासिब से मग़सूब को किसी ने इस लिये लिया है कि मालिक को देदेगा मालिक के यहाँ गया वह नहीं मिला तो यह शख़्स ग़ासिबुल'ग़ासिब के हुक्म में है जब तक मालिक को दे न दे बरियुज़्ज़िम्मा न होगा। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.21:– एक शख़्स ने घोड़ा ग़सब किया उससे दूसरे ने ग़सब किया दूसरे के यहाँ से मालिक चुरा लेगया फिर ग़ासिब दोम उस मालिक से ज़बर'दस्ती छीन लेगया और मालिक को उससे मुक़ाबले की ताक़त नहीं है मालिक यह चाहता है कि ग़ासिबे अव्वल से मुतालबा करे अब यह नहीं हो सकता क्योंकि जब उसकी चीज़ उसको मिलगई किसी तरह से भी मिली ग़ासिब बरी होगया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.22:– ग़ासिब ने मग़सूब को बैअ् करदिया और मालिक ने उस बैअ् को जाइज़ करदिया बैअ् सहीह होजायेगी बशर्ते कि वक़्ते इजाज़त बाइअ् यानी ग़ासिब और मुश्तरी व मग़सूब सब मौजूद हों हलाक न हुए हों और यह इजाज़त मुक़द्दमा दाइर करने से क़ब्ल हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.23:– ग़ासिब ने मग़सूब को बैअ् करदिया फिर ख़ुद ग़ासिब उस चीज़ मग़सूब का मालिक होगया कि मालिक से ख़रीदली या उसने उसे हिबा करदी या मीरास् में यह चीज़ उसे मिली तो वह पहली बैअ् जो इस ने की थी बातिल होगई। (हिदाया)

मसअ्ला.24:– शहर या गाँव में आग लग गई बुझाने के लिये किसी की दीवार या मकान पर चढ़ा और उसके चढ़ने से इमारत को नुक़सान पहुँचा कोई चीज़ टूटगई या दीवार गिरगई उसका तावान वाजिब नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.25:– किसी के मकान में बिग़ैर इजाज़ते मालिक दाख़िल होना जाइज़ नहीं मगर ब'ज़रूरत मस्लन उसका कपड़ा उड़कर उस मकान में चला गया और मालूम है कि अगर मालिक मकान से कहदेगा तो वह लेलेगा उसे नहीं देगा मगर अच्छे लोगों से यह कहदे कि महज़ उस ग़र्ज़ से मकान में घुसना चाहता है अगर मालिक से अन्देशा नहीं है तो जाने की ज़रूरत नहीं मालिक से कहदे कि कपड़ा लाकर देदे दूसरी सूरत यह है कि कोई उचक्का उसकी चीज़ लेकर किसी के मकान में घुस गया यह उससे लेने के लिये उसके पीछे जासकता है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.26:– एक शख़्स ने क़ब्र खुदवाई थी दूसरे ने अपनी मय्यित उसमें दफ़्न करदी अगर यह ज़मीन पहले शख़्स की मम्लूक है तो वह क़ब्र खोदकर मय्यित निकलवा सकता है या ज़मीन को बराबर करके उसको काम में ला सकता है और मय्यित की तौहीन करने वाला यह नहीं है बल्कि हक़ीक़तन मय्यित की तौहीन उसने की कि बिग़ैर इजाज़त पराई ज़मीन में दफ़्न करदी और अगर वह ज़मीन मुबाह या वक़्फ़ है तो न मय्यित को निकाल सकता है न ज़मीन को बराबर कर सकता

है क़ब्र खोदने की उजरत ले सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.27:— ग़ासिब ने मग़सूब चीज़ को ग़ाइब करदिया पता नहीं चलता कि कहाँ है मालिक को इख़्तियार है कि सब्र करे और चीज़ मिलने का इन्तिज़ार करे और चाहे तो ग़ासिब से ज़मान ले अगर ग़ासिब से ज़मान लेलिया तो चीज़ ग़ासिब की होगई और ग़ासिब की यह मिल्क मिल्के मुस्तनद है यानी अगर्चे मिल्क का हुक्म उस वक़्त दिया जायेगा मगर यह मिल्क वक़्ते ग़सब से शुमार होगी और उस चीज़ में जो ज़वाइद मुत्तसिला हुए ग़ासिब उनका भी मालिक है और ज़वाइदे मुन्फ़सिला का मालिक नहीं जैसे दरख़्त में फल और जानवरों में बच्चे। (हिदाया, एनाया)

मसअ्ला.28:— उस चीज़ की क़ीमत क्या है अगर उसमें इख़्तिलाफ़ है तो गवाह मालिक के मोअ्तबर हैं और गवाह न हों तो ग़ासिब जो कहता है क़सम के साथ उस का क़ौल मोअ्तबर है(हिदाया)

मसअ्ला.29:— ग़ासिब अगर यह कहता है कि उसकी क़ीमत क्या है मैं नहीं जानता तो उसे मजबूर किया जायेगा कि बताये और नहीं बताया तो जो कुछ मालिक कहता है उसपर ग़ासिब को क़सम दी जाये यानी क़सम खाये कि यह क़ीमत नहीं है जो मालिक कहता है अगर क़सम खाने से इन्कार करता है तो मालिक जो कुछ कहता है देना होगा और क़सम खागया तो मालिक को क़सम खानी होगी कि जो कुछ मैंने क़ीमत बयान की वही है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.30:— शय मग़सूब ज़मान लेने के बाद ज़ाहिर होगई तो मालिक को इख़्तियार है कि ज़मान जो लेचुका है वापस करदे और अपनी चीज़ लेले और चाहे तो ज़मान को नाफ़िज़ करदे यह उस सूरत में है कि क़ीमत वह लीगई जो ग़ासिब ने बताई है और ग़ासिब को इख़्तियार नहीं है और अगर क़ीमत वह दिलाई गई है जो मालिक ने बताई या मालिक ने गवाहों से साबित की है या ग़ासिब पर क़सम दीगई उसने क़सम खाने से इन्कार कर दिया है तो उन सूरतों में मालिक उस चीज़ को नहीं लेसकता। (हिदाया, एनाया)

मसअ्ला.31:— मग़सूब में जो ज़्यादते मुन्फ़सिला पैदा होती मस्लन जानवर का दूध, दरख़्त के फल यह ग़ासिब के पास ब'मन्ज़िला अमानत हैं अगर ग़ासिब ने उसमें तअ़दी की, हलाक कर डाली, ख़र्च करडाली या मालिक ने तलब की और ग़ासिब ने नहीं दी जब तो ज़मान वाजिब होगा वरना उनका ज़मान वाजिब नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.32:— तब्ला, सारंगी, सितार, यकतारा, दो तारा, ढोल और उनके एलावा दूसरी क़िस्म के बाजे किसी ने तोड़ डाले, तोड़ने वाले को तावान देना होगा मगर तावन में बाजे की क़ीमत नहीं दीजायेगी बल्कि उस क़िस्म की लकड़ी खुदी हुई बाजे के सिवा अगर किसी जाइज़ काम में आये उसकी जो क़ीमत हो वह दीजाये यह इमामे आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु का क़ौल है मगर साहिबैन के क़ौल पर फ़तवा है वह यह कि तोड़ने वाले पर कुछ भी तावान वाजिब नहीं बल्कि उन की बैअ् भी जाइज़ नहीं। और यह इख़्तिलाफ़ उसी सूरत में है जब वह लकड़ी किसी काम में आ सकती हो वरना बिल'इत्तिफ़ाक़ तावान नहीं अगर इमाम के हुक्म से तोड़े हों तो बिलइत्तिफ़ाक़ तावान नहीं और इख़्तिलाफ़ इसमें है कि वह बाजे ऐसे शख़्स के न हों जो गाता, बजाता हो और गवय्ये के हों तो भी बिल'इत्तिफ़ाक़ तावान वाजिब नहीं। (हिदाया, दुर्रे मुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.33:— शतरंज, गन्जफ़ा (एक क़िस्म का खेल जिसमें 96 गोल पत्ते और तीन खिलाड़ी होते हैं) चौसर, ताश, वग़ैरहा ना'जाइज़ खेल की चीज़ें तल्फ़ करदीं उनका भी तावान वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.34:— तब्ले'ग़ाज़ी को तोड़ डाला या वह दफ़ जिसको शादियों में बजाना जाइज़ है उसे तोड़ा या छोटे बच्चों के ताशे, बाजे तोड़ डाले तो उनका तावान है। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.35:— बोलने वाले कबूतर या फ़ाख़्ता को तल्फ़ किया तो तावान में वह क़ीमत ली जायेगी जो बोलने वाले की है उसी तरह बाज़ कबूतर ख़ूबसूरत होते हैं उसकी वजह से उनकी क़ीमत ज़्यादा होती है तो तावान में यही क़ीमत लीजायेगी और उड़ने वाले कबूतरों में वह क़ीमत लगाई

जायेगी जो न उड़ने वाले की है। (आलमगीरी)
मसअ्ला.36:– सींग वाला मेंढा जो लड़ाया जाता है या असील मुर्ग जिसको लडाते हैं उनमें वह कीमत लगाई जायेगी जो न लड़ने वालों की है क्योंकि उनका लड़ाना हराम है क़ीमत में उसका एअ्तिबार नहीं किया जायेगा। (आलमगीरी) यूंही तीतर, बटेर, वग़ैरा लड़ाते हैं और उसकी वजह से उन्हें बहुत दामों में ख़रीदते, बेचते हैं उनके इतलाफ़ में वही क़ीमत लीजायेगी, जो गोश्त खाने के तीतर बटेर की हो।
मसअ्ला.37:– दरख़्त में छोटे छोटे फल हैं जो इस वक़्त किसी काम के नहीं जैसे अमरूद के इब्तिदाई फल वह बर्बाद करडाले तो यह नहीं ख़याल किया जायेगा कि उनकी कुछ क़ीमत नहीं है बल्कि तावान लिया जायेगा और देखा जायेगा कि तन्हा दरख़्त की क्या क़ीमत है और दरख़्त मअ् फल की क्या क़ीमत है जो ज़्यादती क़ीमत में हो वह नुक़सान करने वाले से लीजाये यूंही अगर दरख़्त में कलियाँ निकली हैं और किसी ने उनको झाड़कर गिरा दिया तो यहाँ भी उसी सूरत से तावान लिया जायेगा। (आलमगीरी)
मसअ्ला.38:– किसी शख़्स ने ख़ास कुँए में निजासत डाली तो उससे तावान लिया जायेगा और आम कुँए में डाली तो उसे हुक्म होगा कि कुँए को पाक करे। (आलमगीरी)
मसअ्ला.39:– अ़ली इब्ने आ़सिम रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैह कहते हैं मैने इमामे आ़ज़म रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से सुवाल किया कि एक शख़्स का एक रूपया, दूसरे के दो रुपये में मिल गया उस के पास से दो रूपये जाते रहे एक बाक़ी है और मालूम नहीं यह किसका रुपया है उसका क्या हुक्म है इमाम ने फ़रमाया वह जो बाक़ी है उसमें से एक तिहाई एक रुपया वाले की है और दो तिहाईयाँ दो रुपये वाले की। अ़ली इब्ने आ़सिम कहते हैं उसके बाद मैं इब्ने शबरमा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मिला और उनसे भी यही सुवाल किया उन्होंने कहा तुमने इसको किसी और से भी पूछा है मैंने कहा हाँ अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैह से पूछा है इब्ने शबरमा ने कहा उन्होंने यह जवाब दिया होगा मैंने कहा हाँ। इब्ने शबरमा ने कहा उन्होंने ग़लत जवाब दिया इस लिये कि दो रुपये जो गुम होगये उनमें एक तो यक़ीनन उसका है जिसके दो रुपये थे और एक में एहतिमाल है कि उसका हो या एक रुपया वाले का हो और जो बाक़ी है उसमें भी एहतिमाल है कि दो वाले का हो या एक वाले का दोनों बराबर का एहतिमाल रखते हैं लिहाज़ा निस्फ़ निस्फ़ दोनों बांटलें कहते हैं मुझे इब्ने शबरमा का जवाब बहुत पसन्द आया फिर मैं इमामे आ़ज़म से मिला और उनसे कहा कि इस मसअ्ला में आपके ख़िलाफ़ ज़वाब मिला है इमाम ने फ़रमाया क्या तुम इब्ने शबरमा के पास गये थे मैंने कहा हाँ फ़रमाया उन्होंने तुमसे यह कहा है वह सब बातें बयान करदीं मैंने कहा हाँ। फ़रमाया कि जब तीनों रुपये मिलगये और इम्तियाज़ बाक़ी न रहा तो इस सूरत में हर रुपये में दोनों शरीक होगए एक वाले की एक तिहाई और दो वाले की दो तिहाई फिर जब दो गुम होगये तो दोनों की शिरकत के दो रुपये गुम हुए और जो बाक़ी है यह भी दोनों की शिरकत का है कि एक तिहाई एक की और दो तिहाईयाँ दूसरे की। (जौहरा)
मसअ्ला.40:– एक शख़्स ने दूसरे से कहा इस बकरी को ज़बह करदो उसने ज़बह करदी और बकरी उसकी न थी जिसने ज़बह करने को कहा था तो ज़बह करने वाले को तावान देना होगा उसे यह बात कि बकरी दूसरे की है मालूम हो या न हो दोनों का एक हुक्म है हाँ यह फ़र्क़ है कि अगर मालूम नहीं है तो कहने वाले से रुजूअ् कर सकता है और मालूम हो तो रुजूअ् भी नहीं कर सकता। (आलमगीरी)
मसअ्ला.41:– किसी ने कहा मेरे इस कपड़े को फाड़कर पानी में डाल आओ उसने ऐसा ही किया तो उसपर तावान नहीं मगर गुनेहगार है। (आलमगीरी)
मसअ्ला.42:– ज़मीन ग़सब करके उसमें कोई चीज़ बोई मालिक ने खेत जोतकर कोई और चीज़ बोदी मालिक को तावान नहीं देना होगा। (आलमगीरी)
मसअ्ला.43:– दूसरे की ज़मीन में बिग़ैर इजाज़त काश्त की मालिक ने कहा तुमने ऐसा क्यों किया

मेरा खेत वापस दो बोने वाले ने कहा उतने ही बीज मुझे देदो और मैं उजरत के तौर पर काम करूँगा या यह कि जो कुछ खेत में हो निस्फ़ मेरा और निस्फ़ तुम्हारा मालिक ज़मीन ने बीज देदिये पैदावार मालिक ज़मीन लेगा और उसको उजरते मिस्ल देगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.44:– दरख़्त की शाख़ दूसरे की दीवार पर आगई उसको अपनी दीवार के नुक़सान पहुँच जाने का अन्देशा है मालिक दरख़्त से कहदे कि शाख़ काट डालो वरना मैं ख़ुद काट डालूँगा अगर मालिक ने काटदी फ़बिहा वरना यह काट डाले इसपर तावान वाजिब नहीं कि मालिक का ख़ामोश रहना रज़ामन्दी की दलील है अगर मालिके दरख़्त से बिग़ैर कहे काट डाली तो तावान वाजिब होगा (आलमगीरी)

मसअ्ला.45:– दो अन्डे ग़सब किये एक को मुर्ग़ी के नीचे रखदिया और दूसरे को उसने नहीं रखा बल्कि मुर्ग़ी आप सेती रही और दोनों से बच्चे हुए तो दोनों ग़ासिब के हैं और ग़ासिब से दो अन्डे तावान में लिये जायेंगे और अगर ग़सब न किये होते बल्कि उसके पास वदीअ़त होते तो जिस अन्डे को मुर्ग़ी ने खुद सेकर बच्चा निकाला वह मूदेअ़ का होता और जिसको मुर्ग़ी के नीचे रखता वह मूदअ़ का होता और इस अन्डे का तावान देना होता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.46:– तन्नूर में इतनी लकड़ियाँ डालदीं कि तन्नूर उनका मोहतमिल (जितनी लकड़ियाँ ठीक से जल सकती थीं उस से ज़्यादा डालना (अमीनुल क़ादरी)) न था शोअ्ला उठा और वह मकान जला और पड़ोस का मकान भी जलगया उस मकान का तावान देना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.47:– एक शख़्स का दामन दूसरे शख़्स के नीचे दबा हुआ था दामन वाले को ख़बर न थी वह उठा और दामन फटगया आधा तावान उसपर वाजिब है जिसने दबा रखा था। (ख़ानिया)

मसअ्ला.48:– दलाल को बेचने के लिये चीज़ दी थी दलाल को मालूम हुआ कि यह चीज़ चोरी की है, जिसने दी उसे वापस करदी मालिक ने दलाल से अपनी चीज़ मांगी उसने कहा जिसने मुझे दी थी उसे देदी दलाल बरी होगया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.49:– दाइन ने मदयून के सर से पगड़ी उतारली और यह कहा कि जब मेरा रुपया लाओगे तुम्हारी पगड़ी देदूँगा वह जब रुपया लाया तो पगड़ी ज़ाइअ़ होगई थी तो उसके लिये ग़सब का हुक्म नहीं बल्कि रहन का हुक्म है कि मरहून चीज़ हलाक होने पर जो किया जाता है यहाँ भी किया जायेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला.50:– एक का जानवर दूसरे के घर में घुस गया घर में से निकालना जानवर के मालिक का काम है और परिन्द किसी के कुँए में गिरकर मरगया तो कुँए से उस को निकालना परिन्द के मालिक का काम है कुँवा साफ़ कराना उसके ज़िम्मे नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.51:– तरबूज़ ग़सब किया और उसमें से एक खांप काटली तो तरबूज़ मालिक ही का है और सब खांपें काट डालीं तो मालिक की मिल्क जाती रही। (आलमगीरी)

मसअ्ला.52:– एक मकान में बहुत लोग जमअ़ थे साहिबे ख़ाना का आईना उठाकर एक ने देखा उसने दूसरे को देदिया यके बाद दीगरे सब देखते रहे और आईना टूटगया किसी से तावान नहीं लिया जायेगा कि ऐसी चीज़ों के इस्तिअ्माल की आदतन इजाज़त हुआ करती है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.53:– एक ने किसी की टोपी उतारकर दूसरे के सर पर रखदी उसने अपने सर से उतार कर डालदी फिर वह टोपी ज़ाइअ़ होगई अगर उसने टोपी वाले के सामने फेंकी है कि अगर वह लेना चाहे तो लेसकता है तो किसी पर तावान नहीं वरना तावान है दोनों में से जिस से चाहे तावान वसूल कर सकता है यूंही एक शख़्स नमाज़ पढ़ रहा था उसके सिर से टोपी गिरगई उस को किसी ने वहाँ से हटादिया और वहाँ से चोर लेगया अगर जगह हटाकर रखी कि मुसल्ला लेना चाहे तो हाथ बढ़ाकर लेसकता है तो हटाने वाले पर तावान नहीं और अगर दूर रखी तो तावान है।(आलमगीरी)

शुफ़आ़ का बयान

हदीस् (1)सहीह बुख़ारी में अबू राफ़ेअ़ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु

जायेगी जो न उड़ने वाले की है। (आलमगीरी)
मसअला.36:– सींग वाला मेंढा जो लड़ाया जाता है या असील मुर्ग जिसको लड़ाते हैं उनमें वह कीमत लगाई जायेगी जो न लड़ने वालों की है क्योंकि उनका लड़ाना हराम है क़ीमत में उसका एअतिबार नहीं किया जायेगा। (आलमगीरी) यूंही तीतर, बटेर, वग़ैरा लड़ाते हैं और उसकी वजह से उन्हें बहुत दामों में ख़रीदते, बेचते हैं उनके इतलाफ़ में वही क़ीमत लीजायेगी, जो गोश्त खाने के तीतर बटेर की हो।
मसअला.37:– दरख़्त में छोटे छोटे फल हैं जो इस वक़्त किसी काम के नहीं जैसे अमरूद के इब्तिदाई फल वह बर्बाद करडाले तो यह नहीं ख़याल किया जायेगा कि उनकी कुछ क़ीमत नहीं है बल्कि तावान लिया जायेगा और देखा जायेगा कि तन्हा दरख़्त की क्या क़ीमत है और दरख़्त मअ् फल की क्या क़ीमत है जो ज़्यादती क़ीमत में हो वह नुक़सान करने वाले से लीजाये यूंही अगर दरख़्त में कलियाँ निकली हैं और किसी ने उनको झाड़कर गिरा दिया तो यहाँ भी उसी सूरत से तावान लिया जायेगा। (आलमगीरी)
मसअला.38:– किसी शख़्स ने ख़ास कुँए में निजासत डाली तो उससे तावान लिया जायेगा और आम कुँए में डाली तो उसे हुक्म होगा कि कुँए को पाक करे। (आलमगीरी)
मसअला.39:– अली इब्ने आसिम रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहते हैं मैने इमामे आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु से सुवाल किया कि एक शख़्स का एक रूपया, दूसरे के दो रुपये में मिल गया उस के पास से दो रूपये जाते रहे एक बाक़ी है और मालूम नहीं यह किसका रुपया है उसका क्या हुक्म है इमाम ने फ़रमाया वह जो बाक़ी है उसमें से एक तिहाई एक रुपया वाले की है और दो तिहाईयाँ दो रुपये वाले की। अली इब्ने आसिम कहते हैं उसके बाद मैं इब्ने शबरमा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मिला और उनसे भी यही सुवाल किया उन्होंने कहा तुमने इसको किसी और से भी पूछा है मैंने कहा हाँ अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह से पूछा है इब्ने शबरमा ने कहा उन्होंने यह जवाब दिया होगा मैंने कहा हाँ। इब्ने शबरमा ने कहा उन्होंने ग़लत जवाब दिया इस लिये कि दो रुपये जो गुम होगये उनमें एक तो यक़ीनन उसका है जिसके दो रुपये थे और एक में एहतिमाल है कि उसका हो या एक रुपया वाले का हो और जो बाक़ी है उसमें भी एहतिमाल है कि दो वाले का हो या एक वाले का दोनों बराबर का एहतिमाल रखते हैं लिहाज़ा निस्फ़ निस्फ़ दोनों बांटलें कहते हैं मुझे इब्ने शबरमा का जवाब बहुत पसन्द आया फिर मैं इमामे आज़म से मिला और उनसे कहा कि इस मसअला में आपके ख़िलाफ़ ज़वाब मिला है इमाम ने फ़रमाया क्या तुम इब्ने शबरमा के पास गये थे मैंने कहा हाँ फ़रमाया उन्होंने तुमसे यह कहा है वह सब बातें बयान करदीं मैंने कहा हाँ। फ़रमाया कि जब तीनों रुपये मिलगये और इम्तियाज़ बाक़ी न रहा तो इस सूरत में हर रुपये में दोनों शरीक होगए एक वाले की एक तिहाई और दो वाले की दो तिहाई फिर जब दो गुम होगये तो दोनों की शिरकत के दो रुपये गुम हुए और जो बाक़ी है यह भी दोनों की शिरकत का है कि एक तिहाई एक की और दो तिहाईयाँ दूसरे की। (जौहरा)
मसअला.40:– एक शख़्स ने दूसरे से कहा इस बकरी को ज़बह करदो उसने ज़बह करदी और बकरी उसकी न थी जिसने ज़बह करने को कहा था तो ज़बह करने वाले को तावान देना होगा उसे यह बात कि बकरी दूसरे की है मालूम हो या न हो दोनों का एक हुक्म है हाँ यह फ़र्क़ है कि अगर मालूम नहीं है तो कहने वाले से रुजूअ् कर सकता है और मालूम हो तो रुजूअ् भी नहीं कर सकता। (आलमगीरी)
मसअला.41:– किसी ने कहा मेरे इस कपड़े को फाड़कर पानी में डाल आओ उसने ऐसा ही किया तो उसपर तावान नहीं मगर गुनेहगार है। (आलमगीरी)
मसअला.42:– ज़मीन ग़सब करके उसमें कोई चीज़ बोई मालिक ने खेत जोतकर कोई और चीज़ बोदी मालिक को तावान नहीं देना होगा। (आलमगीरी)
मसअला.43:– दूसरे की ज़मीन में बिग़ैर इजाज़त काश्त की मालिक ने कहा तुमने ऐसा क्यों किया

मेरा खेत वापस दो बोने वाले ने कहा उतने ही बीज मुझे देदो और मैं उजरत के तौर पर काम करूँगा या यह कि जो कुछ खेत में हो निस्फ़ मेरा और निस्फ़ तुम्हारा मालिक ज़मीन ने बीज देदिये पैदावार मालिक ज़मीन लेगा और उसको उजरते मिस्ल देगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.44:– दरख़्त की शाख़ दूसरे की दीवार पर आगई उसको अपनी दीवार के नुक़सान पहुँच जाने का अन्देशा है मालिक दरख़्त से कहदे कि शाख़ काट डालो वरना मैं खुद काट डालूँगा अगर मालिक ने काटदी फ़बिहा वरना यह काट डाले इसपर तावान वाजिब नहीं कि मालिक का ख़ामोश रहना रज़ामन्दी की दलील है अगर मालिके दरख़्त से बिग़ैर कहे काट डाली तो तावान वाजिब होगा (आलमगीरी)

मसअ्ला.45:– दो अन्डे ग़सब किये एक को मुर्ग़ी के नीचे रखदिया और दूसरे को उसने नहीं रखा बल्कि मुर्ग़ी आप सेती रही और दोनों से बच्चे हुए तो दोनों ग़ासिब के हैं और ग़ासिब से दो अन्डे तावान में लिये जायेंगे और अगर ग़सब न किये होते बल्कि उसके पास वदीअ़त होते तो जिस अन्डे को मुर्ग़ी ने खुद सेकर बच्चा निकाला वह मूदेअ् का होता और जिसको मुर्ग़ी के नीचे रखता वह मूदअ् का होता और इस अन्डे का तावान देना होता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.46:– तन्नूर में इतनी लकड़ियाँ डालदीं कि तन्नूर उनका मोहतमिल (जितनी लकड़ियाँ ठीक से जल सकती थीं उस से ज़्यादा डालना (अमीनुल क़ादरी)) न था शोअ्ला उठा और वह मकान जला और पड़ोस का मकान भी जलगया उस मकान का तावान देना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.47:– एक शख़्स का दामन दूसरे शख़्स के नीचे दबा हुआ था दामन वाले को ख़बर न थी वह उठा और दामन फटगया आधा तावान उसपर वाजिब है जिसने दबा रखा था। (खानिया)

मसअ्ला.48:– दलाल को बेचने के लिये चीज़ दी थी दलाल को मालूम हुआ कि यह चीज़ चोरी की है, जिसने दी उसे वापस करदी मालिक ने दलाल से अपनी चीज़ मांगी उसने कहा जिसने मुझे दी थी उसे देदी दलाल बरी होगया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.49:– दाइन ने मदयून के सर से पगड़ी उतारली और यह कहा कि जब मेरा रुपया लाओगे तुम्हारी पगड़ी देदूँगा वह जब रुपया लाया तो पगड़ी ज़ाइअ् होगई थी तो उसके लिये ग़सब का हुक्म नहीं बल्कि रहन का हुक्म है कि मरहून चीज़ हलाक होने पर जो किया जाता है यहाँ भी किया जायेगा (आलमगीरी)

मसअ्ला.50:– एक का जानवर दूसरे के घर में घुस गया घर में से निकालना जानवर के मालिक का काम है और परिन्द किसी के कुँए में गिरकर मरगया तो कुँए से उस को निकालना परिन्द के मालिक का काम है कुँवा साफ़ कराना उसके ज़िम्मे नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.51:– तरबूज़ ग़सब किया और उसमें से एक खांप काटली तो तरबूज़ मालिक ही का है और सब खांपें काट डालीं तो मालिक की मिल्क जाती रही। (आलमगीरी)

मसअ्ला.52:– एक मकान में बहुत लोग जमअ् थे साहिबे ख़ाना का आईना उठाकर एक ने देखा उसने दूसरे को देदिया यके बाद दीगरे सब देखते रहे और आईना टूटगया किसी से तावान नहीं लिया जायेगा कि ऐसी चीज़ों के इस्तिअ्माल की आदतन इजाज़त हुआ करती है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.53:– एक ने किसी की टोपी उतारकर दूसरे के सर पर रखदी उसने अपने सर से उतार कर डालदी फिर वह टोपी ज़ाइअ् होगई अगर उसने टोपी वाले के सामने फेंकी है कि अगर वह लेना चाहे तो लेसकता है तो किसी पर तावान नहीं वरना तावान है दोनों में से जिस से चाहे तावान वसूल कर सकता है यूंही एक शख़्स नमाज़ पढ़ रहा था उसके सिर से टोपी गिरगई उस को किसी ने वहाँ से हटादिया और वहाँ से चोर लेगया अगर जगह हटाकर रखी कि मुसल्ला लेना चाहे तो हाथ बढ़ाकर लेसकता है तो हटाने वाले पर तावान नहीं और अगर दूर रखी तो तावान है।(आलमगीरी)

शुफ़अ़ा का बयान

हदीस् (1) सहीह बुख़ारी में अबू राफ़ेअ् रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु

तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "पड़ोसी को शुफ़आ़ करने का ह़क़ है"।

नोटः– शुफ़आ़ का मत़लब यह है कि कोई शरीक या पड़ोसी अपनी कोई चीज़ बेच रहा है तो पहला ह़क़ पड़ोसी या शरीक का है कि दूसरा वह चीज़ जितने की ख़रीद रहा है पड़ोसी या शरीक को ख़रीदने का पहले मौक़ा दिया जाये। इस को शुफ़आ़ कहते हैं। (अमीनुल क़ादरी)

ह़दीस (2) इमाम अह़मद व तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व इब्ने माजा व दारमी जाबिर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "पड़ोसी को शुफ़आ़ करने का ह़क़ है उसका इन्तिज़ार किया जायेगा अगर्चे वह ग़ाइब हो जबकि दोनों का रास्ता एक हो"।

ह़दीस (3) तिर्मिज़ी ने इब्ने अ़ब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि नबी स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया शरीक ने इब्ने अ़ब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि नबी स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "शरीक शफ़ीअ़ है और शुफ़ा हर शय में है"।

ह़दीस (4) सह़ी मुस्लिम में जाबिर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़ैसला फ़रमाया कि "शुफ़आ़ हर शिरकत की चीज़ में है जो तक़सीम न कीगई हो मकान हो या बाग़ हो उसे यह ह़लाल नहीं कि शरीक को बिग़ैर ख़बर किये बेच डाले ख़बर करने पर वह चाहे तो लेले और चाहे छोड़दे और अगर बिग़ैर ख़बर किये उसने बेच डाला तो वह ह़क़दार है"।

ह़दीस (5) सह़ीह़ बुख़ारी में जाबिर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया कि शुफ़आ़ हर ग़ैर मुन्क़सिम चीज़ (जो चीज़ तक़सीम न की गई हो) में है और जब ह़ुदूद वाक़ेअ़ होगये और रास्ते फेर दिये गये यानी तक़सीम करके हर एक का रास्ता जुदा करदिया गया तो अब शुफ़आ़ नहीं यानी शिरकत की वजह से जो शुफ़आ़ था वह अब नहीं।

ह़दीस (6) सह़ीह़ बुख़ारी में अ़म्र इब्ने शरीद से मरवी है कहते हैं मैं सअ़्द इब्ने अबी वक़्क़ास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के पास खड़ा था उतने में अबू राफ़ेअ़ रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु आये और यह कहा कि सअ़्द तुम्हारे दार में जो मेरे दो मकान हैं उन्हें ख़रीदलो उन्होंने कहा मैं नहीं ख़रीदूँगा मिसवर इब्ने मख़रमा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने कहा वल्लाह तुमको ख़रीदना होगा सअ़्द रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने कहा वल्लाह मैं चार हज़ार दिरहम से ज़्यादा नहीं दूँगा और वह भी बा'क़िसात (क़िस्तों के साथ) अबू राफ़ेअ़ रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने कहा मुझे पाँच सौ अशर्फ़ियाँ मिल रही हैं और अगर मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से यह सुना न होता कि पड़ोसी को क़ुर्ब की वजह से ह़क़ होता है तो चार हज़ार में नहीं देता जब कि पाँचसौ दीनार मुझे मिल रहे हैं यह कहकर उनको चार हज़ार में देदिया।

मसाइले फ़िक़्हिय्या

ग़ैर मन्क़ूल जायदाद को किसी शख़्स ने जितने में ख़रीदा उतने ही में उस जायदाद के मालिक होने का ह़क़ जो दूसरे शख़्स को ह़ासिल होजाता है उसको शुफ़आ़ कहते हैं यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं कि मुश्तरी उसपर राज़ी हो जब ही शुफ़आ़ किया जाये वह राज़ी हो या नाराज़ बहर सूरत जो ह़क़दार है लेसकता है जिस शख़्स को यह ह़क़ ह़ासिल है उसको शफ़ीअ़ कहते हैं मुश्तरी ने मिस्ली चीज़ के एवज़ में जायदाद ख़रीदी है मस़लन रुपये अशर्फ़ी पैसे के एवज़ में है तो उसकी मिस्ल देकर शफ़ीअ़ लेलेगा और अगर क़ीमती चीज़ स़मन है तो उसकी जो कुछ क़ीमत है वह देगा।

मसअला.1:– शुफ़आ़ वह शख़्स कर सकता है जिसकी मिल्क जायदादे मबीआ़ से मुत्तस़िल है ख़्वाह उस जायदाद में शफ़ीअ़ की शिरकत हो या उसका जवार (पड़ोस) हो। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.2:– शुफ़ा के शराइत़ ह़स्बे ज़ैल हैं। (1) जायदाद का इन्तिक़ाल अ़क़्दे मुआ़वज़ा के ज़रीआ़ से हो यानी बैअ़ या मअ़ना–ए–बैअ़ में हो। मअ़ना बैअ़ मस़लन जायदाद को बदले सुलह़ क़रार दिया यानी उसको देकर सुलह़ की हो। और अगर इन्तिक़ाल में यह दोनों बातें न हों तो शुफ़आ़ नहीं हो

सकता मस्लन हिबा, सदका, मीरास, वसियत की रू से जायदाद हासिल हुई तो उसपर शुफ़आ नहीं होसकता है। हिबा ब'शरतिलएवज़ में अगर दोनों जानिब से तकाबुज़े बदलैन होगया तो शुफ़आ हो सकता है और अगर हिबा में एवज़ की शर्त न थी मगर मौहूब'लहू ने एवज़ देदिया मस्लन ज़ैद ने अम्र को एक मकान हिबा करदिया और अम्र ने ज़ैद को उसके एवज़ में मकान हिबा किया तो दोनों में से किसी पर शुफ़आ नहीं हो सकता (2)मबीअ् अक्कार यानी जायदादे गैर मन्कूला हो। मन्कूलात में शुफ़आ नहीं होसकता (3)बाइअ् की मिल्क ज़ाइल होगई हो लिहाज़ा अगर बाइअ् को ख़ियारे शर्त हो तो शुफ़आ नहीं होसकता जब वह अपना ख़ियारे शर्त साकित करदेगा तब होसकेगा। और मुश्तरी को ख़ियार हो तो शुफ़आ होसकता है (4)बाइअ् का हक़ भी ज़ाइल होगया हो यानी मबीअ् के वापस लेने का उसे हक़ न हो लिहाज़ा मुश्तरी ने बैअ् फ़ासिद के ज़रीआ से जायदाद बेची तो शुफ़आ नहीं हो सकता। हाँ अगर मुश्तरी ने उस जायदाद को बैअ् सहीह के ज़रिआ फ़रोख़्त करडाला तो अब शुफ़आ होसकता है और उस शुफ़आ को अगर बैअ् सानी पर बिना करे तो बैअ् सानी का जो कुछ समन है उसके साथ लेगा और अगर बैअ् अव्वल पर बिना करे तो मुश्तरी के क़ब्ज़ा करने के दिन जो उस की कीमत थी वह देनी होगी। (5)जिस जायदाद के ज़रीआ से उस जायदाद पर शुफ़आ करने का हक़ हासिल हुआ है वह उस वक्त शफ़ीअ् की मिल्क में हो यानी जबकि मुश्तरी ने उस शुफ़आ वाली जायदाद को खरीदा लिहाज़ा अगर वह मकान शफ़ीअ् के किराये में हो या आरियत के तौर पर उसमें रहता है तो शुफ़आ नहीं कर सकता या उन मकान को उसने पहले ही बैअ् कर दिया है तो अब शुफ़आ नहीं कर सकता। (6)शफ़ीअ् ने उस बैअ् से न सराहतन रज़ा'मन्दी ज़ाहिर की हो न दलालतन।

मसअ्ला.3:– दो मन्ज़िला मकान है उसकी दोनों मन्ज़िल में शुफ़ा होसकता है मस्लन अगर सिर्फ़ बाला ख़ाना फ़रोख़्त हुआ तो शुफ़आ होसकता है अगर्चे उसका रास्ता नीचे की मन्ज़िल में न हो(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– ना'बालिग़ और मजनून के लिये भी हक़्क़े शुफ़आ साबित होता है उनका वसी या वली उसका मुतालबा करेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– शुफ़आ के ज़रीआ से जो जायदाद हासिल की गई वह उसी की मिस्ल है जिसको ख़रीदा है यानी उस जायदाद में शफ़ीअ् को खियारे रूयत, ख़ियारे ऐब हासिल होगा जिस तरह मुश्तरी को होता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– शुफ़आ का हुक्म यह है कि जब उसका सबब पाया जाये यानी जायदाद बेचीगई तो तलब करना जाइज़ है और बाद तलब व इश्हाद यह मुअक्कद होजाता है और क़ाज़ी के फ़ैसला या मुश्तरी की रज़ा'मन्दी से शफ़ीअ् उस चीज़ का मालिक होजाता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– मकाने मौक़ूफ़ के मुत्तसिल कोई मकान फ़रोख़्त हुआ तो न वाक़िफ़ शुफ़आ कर सकता है न मुतवल्ली न वह शख़्स जिसपर यह मकान वक़्फ़ है कि शुफ़आ के लिये यह ज़रूरत थी कि जिसके ज़रीआ से शुफ़आ किया जाये वह मम्लूक हो और मकाने मौक़ूफ़ मम्लूक नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– ज़मीने मौक़ूफ़ (वक्फ की जमीन) में किसी ने मकान बनाया है और उसके जवार में कोई मकान फ़रोख़्त हुआ तो यह शुफ़आ नहीं कर सकता और अपनी इमारत बैअ् करे तो उसपर भी शुफ़ा नहीं होसकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– जिस जायदादे मौक़ूफ़ा की बैअ् नहीं होसकती अगर किसी ने ऐसी जायदाद बैअ् करदी तो उस पर शुफ़आ नहीं हो सकता कि शुफ़आ के लिये बैअ् होना ज़रूरी है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– अगर वक़्फ़ ऐसा हो जिसकी बैअ् जाइज़ हो और वह फ़रोख़्त हुआ तो उसपर शुफ़आ होसकता है और अगर उसके जवार (करीब) में कोई जायदाद फ़रोख़्त हुई तो वक़्फ़ की जानिब से शुफ़आ नहीं होसकता कि उसका कोई मालिक नहीं जो शुफ़आ करसके यूहीं अगर जायदाद का एक जुज़ वक़्फ़ है और एक जुज़ मिल्क और जो हिस्सा मिल्क है वह फ़रोख़्त हुआ तो

हमे बड़ी मुसर्रत हो रही है कि अल्लाह त'आला और उसके हबीब सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम के हुक्म फ़ज़्ल-ओ-करम से और बुज़ुर्गाने दीन सिलसिला-ए-क़ादिरिया बिलख़ुसूस पिराने पीर दस्तगीर हुज़ूर ग़ौस-ए-आज़म शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रादिअल्लाहु त'आला अन्हू के फ़ैज़ से क़िताब बहार-ए-शरीअत (हिस्सा **11** से **20**) हिंदी में पीडीएफ **[PDF]** में आप की खिदमत में पेश की जा रही है।

ज़माना-ए- क़दीम से अवमुन्नास की इस्लाहे हाल और हिदायते उख़रवी व दुनयवी के लिए हक़ सदाक़त के जाम की फ़राहमी की जाती रही हैं और ये इलतेज़ाम ख़ालिक़-ए-क़ायनात जल्ला जलालहु ने ब अहसान अपनी मख़लूक़ के लिए फ़रमाया है। अम्बिया व मुर्सलीन के बेहतरीन दौर के बाद उसने यह ख़िदमत अपने मुक़र्रबीन रिज़वानुल्लाह त'आला अलैहिम अजमईन के सुपुर्द की और यह सिलसिला अला हालही जारी व सारि है।

मज़हब-ए-इस्लाम अल्लाह त'आला का पसंदीदा दीन है । ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नही जिसके लिए इस्लाम ने हमे क़ानून न दिया हो ।

आज जिस दौर से हम गुज़र रहे है हमारा मुस्लिम तबका उर्दू की तरफ ध्यान नही दे रहा है और नई नस्ल तो बिल्कुल ही उर्दू से नावाक़िफ़ होती जा रही है । नतीजे के तौर पर दीनी और मज़हबी दिलचस्पियाँ कम हो रही है और हम अपने हाल को ग़ैर मुंज़बित तरीके पे छोड़े रहते है ।

लिहाज़ा ये किताब हिंदी में लिखी गई है और आप सब की आसानी के लिए हम ने इस किताब को पीडीएफ फ़ाइल में आप की ख़िदमत में पेश किया है।
आप सब से हमारी गुज़ारिश है कि अपनी मसरूफ ज़िन्दगी में से रोज़ाना वक़्त निकाल कर बुज़ुर्गो की तस्नीफ़ करदा किताबो को मुताला में रखें , इंशा अल्लाह त'आला दीन और दुनिया दोनो में मक़बूल होंगे।

दुआओं के तलबगार

वसीम अहमद रज़ा खान और साथी

+91-8109613336

वक़्फ़ की जानिब से उसपर शुफ़आ नहीं होसकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.11:– मकान को निकाह का महर क़रार दिया या उसको उजरत मुक़र्रर किया तो उसपर शुफ़आ नहीं होसकता और अगर महर कोई दूसरी चीज़ है मकान को उसके बदले में बैअ़ किया या निकाह में महर का ज़िक्र न हुआ और महरे मिस्ल वाजिब हुआ उसके बदले में औरत के हाथ मकान बेच दिया तो शुफ़आ होसकता है। (आलमगीरी)

शुफ़आ के मरातिब

मसअला.1:– शुफ़आ के चन्द अस्बाब मुजतमेअ़ (कुछ सबब जमा हो जायें) होजायें तो उन में तर्तीब का लिहाज़ रखा जायेगा जो सबब क़वी हो उसको मुक़द्दम (पहले) किया जाये शुफ़आ के तीन सबब हैं शुफ़आ करने वाला शरीक है या ख़लीत़ है या जारे मुलासिक़ (पड़ोसी)। शरीक वह है कि खुद मबीअ़ में उसकी शिरकत हो मस्लन एक मकान दो शख़्सों में मुश्तरक है एक शरीक ने बैअ़ की तो दूसरे शरीक को शुफ़आ पहुँचता है ख़लीत़ का यह मतलब है कि खुद मबीअ़ में शिरकत नहीं है उसका हिस्सा बाइअ़ के हिस्से से मुमताज़ है मगर हक़्क़े मबीअ़ में शिरकत है मस्लन दोनों मकानों का एक ही रास्ता है और रास्ता भी ख़ास है या दोनों के खेत में एक नाली से पानी आता हो। जारे मुलासिक़ यह है कि उसके मकान की पछीत दूसरे के मकान में हो। उन सब में मुक़द्दम शरीक है फिर ख़लीत़ और जारे मुलासिक़ का मर्तबा सबसे आख़िर में है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.2:– शरीक ने मुश्तरी को तस्लीम करदी यानी शुफ़आ करना नहीं चाहता है तो ख़लीत़ को शुफ़आ का हक़ हासिल होगया कि उसके बाद उसी का मर्तबा है या उस जायदाद में किसी की शिरकत ही नहीं है तो ख़लीत़ को शुफ़आ का हक़ है और ख़लीत़ ने भी मुश्तरी से नहीं लेना चाहा तस्लीम करदी या कोई ख़लीत़ ही नहीं है तो जार (पड़ोस) का हक़ है। (आलमगीरी)

मसअला.3:– नहरे अज़ीम और रास्ता आम में शिरकत सबबे शुफ़आ नहीं है बल्कि उस सूरत में जारे मुलासिक़ को शुफ़आ का हक़ मिलेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.4:– नहरे अज़ीम (बड़ी नहर) वह है जिस में कश्ती चल सकती हो और अगर कश्ती न चल सके तो नहरे सग़ीर (छोटी नहर) है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.5:– कूचा–ए–सरबस्ता (बन्द गली) में जिन लोगों के मकानात हैं वह सब ख़लीत़ हैं कि ख़ास रास्ते में शिरकत होगई। कूचा–ए–सर बस्ता से दूसरा रास्ता निकाला कि आगे चलकर यह भी बन्द होगया इसमें भी कुछ मकानात हैं अगर इसमें कोई मकान फ़रोख़्त हुआ तो दोनों कूचा वाले बराबर के हक़दार हैं। (हिदाया)

मसअला.6:– कूचा–ए–सर'बस्ता में एक मकान है जिसमें एक हिस्सा एक शख़्स का है और एक हिस्से में दो शख़्स शरीक हैं और जिस कूचे में यह मकान है उसमें दूसरों के भी मकानात हैं एक शरीक ने अपना हिस्सा बैअ़ किया तो उसका शरीक शुफ़आ कर सकता है वह न करे तो दूसरा शख़्स करे जो शरीक न था मगर उसी मकान में उसका मकान भी है और यह भी न करे तो उस कूचे के दूसरे लोग करें। (आलमगीरी)

मसअला.7:– मबीअ़ में शिरकत की दो सूरतें हैं एक यह कि पूरी मबीअ़ में शिरकत है मस्लन पूरा मकान दो शख़्सों में मुश्तरक हो **दोम** यह कि बाज़ मबीअ़ में शिरकत हो यानी मकान का एक जुज़ मुश्तरक है और बाक़ी में शिरकत नहीं मस्लन पर्दा की दीवार दोनों की हो और एक ने अपना मकान बैअ़ करदिया तो पर्दा की दीवार जो मुश्तरक है उसकी भी बैअ़ होगई यह शख़्स शरीक की हैसियत से शुफ़आ करेगा लिहाज़ा दूसरे शफ़ीओं पर मुक़द्दम होगा मगर जो शख़्स पूरे मकान में शरीक है वह इस शरीक पर मुक़द्दम होगा। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअला.8:– दीवार में शिरकत से यह मुराद है कि दीवार की ज़मीन में शिरकत हो और अगर ज़मीन में शिरकत न हो सिर्फ़ दीवार में शिरकत हो तो उसको शरीक नहीं शुमार किया जायेगा

दोनों की सूरतें यह हैं एक के बीच में एक दीवार क़ाइम करदी गई फिर तक़सीम यूँ हुई कि एक शख़्स ने दीवार से उधर का हिस्सा लिया और दूसरे ने उधर का और दीवार तक़सीम में नहीं आई लिहाज़ा दोनों की हुई और अगर मकान को तक़सीम करके एक ख़त खींच दिया फिर बीच में दीवार बनाने के लिये हर एक ने एक एक बालिश्त ज़मीन देदी और दोनों के पैसों से दीवार बनी तो यहाँ ज़मीन में बिल्कुल शिरकत नहीं है अगर शिकरत है तो दीवार में है और दीवार व इमारत में शिरकत मूजिबे शुफ़आ नहीं लिहाज़ा उस शिरकत का एअ्तिबार नहीं बल्कि यह शख़्स जारे मलासिक़ है और उसी हैसियत से शुफ़आ कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– बीच की दीवार पर दोनों की कड़ियाँ हैं और यह मालूम नहा कि यह दीवार दोनों में मुश्तरक है सिर्फ़ इतनी बात से कि दोनों की कड़ियाँ हैं दीवार का मुश्तरक होना मालूम होता है उन में से एक का मकान फ़रोख़्त हुआ अगर दूसरे ने गवाहों से दीवार का मुश्तरक होना साबित कर दिया तो उसको शरीक क़रार दिया जायेगा और शुफ़आ में उसका मर्तबा जार से मुक़द्दम होगा(आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– यह जो कहा गया कि शरीक के बाद जारे मुलासिक़ का मर्तबा है उसका मतलब यह है कि बैअ् की ख़बर सुनकर उसने शुफ़आ तलब किया हो और अगर उस वक़्त उसने शुफ़आ तलब न किया और शरीक ने शुफ़आ तस्लीम कर दिया यानी बज़रीआ–ए–शुफ़आ लेना नहीं चाहता तो अब उस जार को शुफ़आ करने का हक़ न रहा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– दो मन्ज़िला मकान है नीचे की मन्ज़िल ज़ैद व अम्र की शिरकत में है और ऊपर की मन्ज़िल में ज़ैद व बकर शरीक हैं अगर ज़ैद ने नीचे की मन्ज़िल बैअ् की तो अम्र शुफ़आ कर सकता है बकर नहीं और ऊपर की मन्ज़िल बेची तो बकर शुफ़आ कर सकता है अम्र नहीं। (बदाइअ)

मसअ्ला.12:– एक मकान की छत पर बालाख़ाना है मगर उस बालाख़ाना का रास्ता दूसरे मकान में है उस मकान में नहीं है जिसकी छत पर बाला ख़ाना है। यह बाला ख़ाना फ़रोख़्त हुआ तो वह शख़्स शुफ़आ करेगा जिसके मकान में उसका रास्ता है वह नहीं कर सकता जिसके मकान की छत पर बाला ख़ाना है और अगर पहले शख़्स ने तस्लीम करदिया न लेना चाहा तो दूसरा शख़्स शुफ़आ कर सकता है मगर बालाख़ाना का कोई जारे'मुलासिक़ है तो शुफ़आ में यह भी शरीक है और अगर नीचे की मन्ज़िल फ़रोख़्त हुई तो बालाख़ाना वाला शुफ़आ कर सकता है और वह मकान जिसमें बालाख़ाना का रास्ता है फ़रोख़्त हुआ तो उसमें भी बालाख़ाना वाला शुफ़आ कर सकता है। (बदाइअ)

मसअ्ला.13:– कूचा–ए–सर'बस्ता में चन्द अश्ख़ास के मकानात हैं उनमें से किसी ने अपना मकान या कोई कमरा बैअ् कर दिया और रास्ता मुश्तरी के हाथ नहीं बेचा बल्कि मुश्तरी से यह तै पाया कि उस मकान का दरवाज़ा शारेअ़े आम में खोल ले उस सूरत में भी उस कूचे के रहने वाले शुफ़आ कर सकते हैं क्योंकि ब'वक़्ते बैअ् यह लोग रास्ते में शरीक हैं और अगर उस वक़्त उन लोगों ने शुफ़आ न किया और मुश्तरी ने दरवाज़ा खोलने के बाद उसको बैअ् कर डाला तो अब शुफ़आ नहीं कर सकते कि रास्ते की शिरकत दूसरी बैअ् के वक़्त नहीं है बल्कि अब वह शख़्स शुफ़आ कर सकता है जो जारे मुलासिक़ हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– मकान के दो दरवाज़े हैं एक दरवाज़ा एक गली में है दूसरा दूसरी गली में है उस की दो सूरतें हैं एक यह कि पहले दो मकान थे एक का दरवाज़ा एक गली में था दूसरे का दूसरी गली में था एक शख़्स ने दोनों को ख़रीदकर एक मकान कर दिया उस सूरत में हर गली वाले अपनी जानिब का मकान शुफ़आ करके ले सकते हैं एक गली वालों को दूसरी जानिब के हिस्से का हक़ नहीं दूसरी सूरत यह है कि जब वह मकान बना था उस वक़्त उसमें दो दरवाज़े रखे गये थे तो दोनों गली वाले पूरे मकान में शुफ़आ का बराबर हक़ रखते हैं यूंही अगर दो गलियाँ थीं दोनों के बीच की दीवार निकालकर एक गली करदी गई तो हर एक कूचे वाले अपनी जानिब में शुफ़आ का हक़ रखते हैं। दूसरी जानिब में उन्हें हक़ नहीं। उसी तरह कूचा–ए–सर'बस्ता था उसकी दीवार निकालदी गई कि सर'बस्ता न रहा बल्कि

कूचा–ए–नाफ़िज़ा होगया तो अब भी उसके रहने वाले शुफ़आ का हक़ रखेंगे। (आलमगीरी)

मसअला.15:– बाप का मकान था उसके मरने के बाद बेटों को मिला और उनमें से कोई लड़का मरगया और उसने अपने बेटे वारिस छोड़े उन में से किसी ने अपना हिस्सा बैअ् किया तो उसके भाई और चचा सब शुफ़आ कर सकते हैं भाईयों को चचा पर तरजीह नहीं है। (आलमगीरी)

मसअला.16:– मकान के दो पड़ोसी हैं एक मौजूद है दूसरा ग़ाइब है मौजूद ने शुफ़आ का दअ्वा किया मगर क़ाज़ी ऐसे शुफ़आ का क़ाइल न था उसने दअ्वे को ख़ारिज करदिया कि शुफ़आ का तुझे हक़ नहीं है फिर वह ग़ाइब आया और उसने दूसरे क़ाज़ी के पास दअ्वा किया जिसके मज़हब में पड़ोसी के लिये भी शुफ़आ है यह क़ाज़ी पूरा मकान उसी शुफ़आ करने वाले को दिलायेगा (बदाइअ्)

मसअला.17:– किसी के मकान का परनाला दूसरे के मकान में गिरता है या इस मकान की नाली उस मकान में है. तो उसको इस मकान में जवार की वजह से शुफ़आ का हक़ है शिरकत की वजह से नहीं। (आलमगीरी)

मसअला.18:– शुफ़ा का दअ्वा किया और क़ाज़ी ने उसका हुक्म देदिया उसके बाद शफ़ीअ् ने जायदाद लेने से इन्कार करदिया तो दूसरे लोग जो उसके बाद शुफ़आ कर सकते थे उनका हक़ बातिल होगया यानी वह लोग अब शुफ़आ नहीं कर सकते कि बाद क़ज़ा–ए–क़ाज़ी (क़ाज़ी के फ़ैसले के बाद) उसकी मिल्क मुतक़र्रिर होगई और अगर क़ाज़ी के हुक्म से क़ब्ल ही यह अपने हक़ से दस्त बर्दार होगया तो दूसरे लोग कर सकते हैं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअला.19:– बाज़ हक़दार मौजूद हैं बाज़ ग़ाइब हैं जो मौजूद हैं उन्होंने दअ्वा किया तो उनके लिये फ़ैसला करदिया जायेगा उसका इन्तिज़ार न किया जायेगा कि वह ग़ाइब भी आजाये क्योंकि आजाने के बाद वह मुतालबा करे या न करे क्या मालूम लिहाज़ा उसके आने तक फ़ैसला को मुअख़्ख़र न किया जाये। फिर उस ग़ाइब ने आने के बाद अगर मुतालबा किया तो उसकी तीन सूरतें हैं अगर उसका मर्तबा उससे कम है जिसके लिये फ़ैसला हुआ तो उसका मुतालबा साक़ित और बराबर का है यानी अगर वह शरीक है तो यह भी शरीक है या दोनों ख़लीत हैं या दोनों पड़ोसी हैं तो इस सूरत में दोनों को बराबर बराबर जायदाद मिलेगी और अगर उसका मर्तबा उस से ऊँचा है यानी मसलन वह ख़लीत या पड़ोसी था और यह शरीक है तो कुल जायदाद उसी को मिलेगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.20:– शफ़ीअ् चाहता है कि जायदादे मबीआ (बेची गई जायदाद) में से एक हिस्सा लेले और बाक़ी मुश्तरी के लिये छोड़दे उसका हक़ शफ़ीअ् को नहीं यानी मुश्तरी को उसके क़बूल करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि होसकता है कि जायदाद का यह जुज़ लेने में मुश्तरी अपना ज़रर तसव्वुर करता हो (नुक़सान समझता हो)। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.21:– एक शफ़ीअ् ने अपना हक़्क़े शुफ़आ दूसरे को देदिया मसलन तीन शख़्स शफ़ीअ् थे उनमें से एक ने दूसरे को अपना हक़ देदिया यह देना सहीह नहीं बल्कि उसका हक़ साक़ित होगया और उसके सिवा जितने शफ़ीअ् हैं वह सब बराबर के हक़दार हैं बल्कि अगर दो शख़्स हक़दार हैं उनमें से एक ने यह समझकर कि मुझे निस्फ़ ही जायदाद मिलेगी निस्फ़ ही को तलब किया तो उसका शुफ़आ ही बातिल होजायेगा यानी ज़रूरी है कि हर एक पूरे का मुतालबा करे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.22:– दो शख़्सों ने अपना मुश्तरक मकान (साझे का मकान) बैअ् किया शफ़ीअ् यह चाहता है कि फ़क़त एक के हिस्से में शुफ़आ करे यह नहीं होसकता और अगर दो शख़्सों ने एक मकान ख़रीदा और शफ़ीअ् फ़क़त एक मुश्तरी के हिस्से में शुफ़आ करना चाहता है यह होसकता है। (आलमगीरी)

मसअला.23:– एक शख़्स ने एक अक़्द में दो मकान ख़रीदे और शफ़ीअ् दोनों में शुफ़आ कर सकता हो तो दोनों में शुफ़आ करे या दोनों को छोड़े यह नहीं होसकता कि एक में करे और एक को छोड़े और अगर एक ही में वह शफ़ीअ् है तो एक में शुफ़आ कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअला.24:– मुश्तरी के वकील ने जायदाद ख़रीदी और वह अभी उसी वकील के हाथ में है तो

शुफ़आ की तलब वकील से होसकती है और वकील ने मुअक्किल को देदी तो वकील से तलब नहीं करसकता बल्कि उससे तलब करने पर शुफ़आ ही साक़ित होजायेगा कि जिससे तलब करना चाहिए था बा'वजूद कुदरत शफ़ीअ् ने उससे तलब करने में देर की।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

तलबे शुफ़आ का बयान

तलब की तीन क़िस्में हैं **1.तलबे मुवासबा 2.तलबे तक़रीर** उसको तलबे इश्हाद भी कहते हैं। **3.तलबे तम्लीक**। तलबे मुवासबा यह है कि जैसे ही उसको उस जायदाद के फ़रोख़्त होने का इल्म हो फ़ौरन उस वक्त यह जाहिर करदे कि मैं तालिबे शुफ़आ हूँ अगर इल्म होने के बाद उसने तलब न की तो शुफ़आ का हक़ जाता रहा और बेहतर यह है कि अपने उस तलब करने पर लोगों को गवाह भी बनाले ताकि यह न कहा जासके कि उसने तलबे मुवासबत नहीं की है।(हिदाया)

मसअ्ला.1:– जायदाद की बैअ् का इल्म कभी तो खुद मुश्तरी (ख़रीदार) ही से होता है कि उसने खुद उसे ख़बर दी और कभी मुश्तरी के क़ासिद के ज़रीआ से होता है कि उसने किसी की मअ्रिफ़त उसके पास कहला भेजा और कभी किसी अजनबी के ज़रीआ से होता है उस सूरत में यह ज़रूर है कि वह मुख़बिर आदिल हो या ख़बर देने वालों में अ़ददे शहादत पाया जाये यानी दो मर्द हों या एक मर्द और दो औरतें। ख़बर देने वाला एक ही शख़्स है और वह भी फ़ासिक़ है मगर शफ़ीअ् ने उस ख़बर में उसकी तस्दीक करली तो बैअ् का इल्म होगया यानी अगर तलबे मुवासबा न करेगा शुफ़आ बातिल होजायेगा और अगर उसकी तकज़ीब की तो शफ़ीअ् के नज़्दीक बैअ् का सुबूत न हुआ यानी तलब न करने पर हक्के शुफ़आ बातिल न होगा अगर्चे वाक़ेअ् में उसकी ख़बर सहीह हो।(दुर्रेमु0)

मसअ्ला.2:– तलबे मुवासबा में अदना ताख़ीर भी शुफ़आ को बातिल कर देती है मस्लन किसी ख़त के ज़रीआ से उसे बैअ् की ख़बर दीगई और उस ख़त में बैअ् का ज़िक्र मुक़द्दम है और उसके बाद दूसरे मज़ामीन हैं या बैअ् का ज़िक्र दरम्यान में है उसने पूरा ख़त पढ़कर तलबे मुवासबत की शुफ़आ बातिल होगया कि इतनी ताख़ीर भी यहाँ न होनी चाहिए।(हिदाया)

मसअ्ला.3:– ख़ुतबा होरहा है और उसको बैअ् की ख़बर दीगई और नमाज़ के बाद उसने तलबे मुवासबत की अगर ऐसी जगह है कि ख़ुतबा सुन रहा है तो शुफ़आ बातिल नहीं हुआ और अगर ख़ुतबा की आवाज़ उसको नहीं पहुँची तो शुफ़आ बातिल है या नहीं इसमें इख़्तिलाफ़ है। नफ़्ल नमाज़ पढ़ने में उसे ख़बर मिली उसे चाहिए कि दो रकअ्त पर सलाम फेरदे और तलबे मुवासबत करे और चार पूरी करली यानी दो रकअ्तें और मिलाईं तो बातिल होगया और क़ब्ले ज़ोहर या बादे ज़ोहर की सुन्नतें पढ़ रहा था और चार पूरी करके तलब किया तो बातिल न हुआ।(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.4:– बैअ् की ख़बर सुनकर सुब्हानल्लाह या अल्हम्दु'लिल्लाह या अल्लाहु अकबर या ला' हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह कहा तो शुफ़आ बातिल न हुआ कि उन अल्फ़ाज़ का कहना एअ्राज़ (इनकार करने) की दलील नहीं बल्कि ख़ुदा का शुक्र करता है कि उसके पड़ोस से निजात मिली या तअ़ज्जुब करता है कि उसने ज़रर (नुक़सान) पहुँचाने का इरादा किया था और नतीजा यह हुआ यूंही अगर इस के पास के किसी शख़्स को छींक आई और अल्हम्दु लिल्लाह कहा इसने उसका जवाब दिया शुफ़आ बातिल न हुआ। (आलमगीरी, हिदाया)

मसअ्ला.5:– बैअ् की ख़बर मिलने पर उसने दरयाफ़्त किया कि किसी ने ख़रीदा या कितने में ख़रीदा यह पूछना ताख़ीर में शुमार नहीं क्योंकि होसकता है कि स्मन इतना हो जो इसके नज़्दीक मुनासिब है तो शुफ़आ करे और ज़्यादा स्मन है तो उसे इतने दामों में लेना मन्ज़ूर नहीं यूंही अगर मुश्तरी कोई नेक शख़्स है उसका पड़ोस नागवार नहीं है तो शुफ़आ की क्या ज़रूरत और ऐसा शख़्स मुश्तरी है जिसका कुर्ब मन्ज़ूर नहीं है तो शुफ़आ करने की ज़रूरत है लिहाज़ा यह पूछना शुफ़आ से एअ्राज़ की दलील नहीं।(हिदाया)

मसअ्ला.6:– शफ़ीअ् ने मुश्तरी को सलाम किया शुफ़आ बातिल नहीं हुआ और किसी दूसरे को

सलाम किया तो बातिल होगया मस्लन मुश्तरी का बेटा भी वहीं खड़ा था उस लड़के को सलाम किया बातिल होगया।(आलमगीरी)

मसअला.7:– तलबे मुवासबा के लिये कोई लफ़्ज़ मख़सूस नहीं जिस लफ़्ज़ से भी उसका तालिबे शुफ़आ होना समझ में आता हो वह काफ़ी है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.8:– जो जायदाद फ़रोख़्त हुई एक शख़्स उसमें शरीक है और एक उसका पड़ोसी है दोनों को एक साथ ख़बर मिली शरीक ने तलबे मुवासबा की पड़ोसी ने नहीं की फिर शरीक ने शुफ़आ छोड़दिया अब पड़ोसी को शुफ़आ का हक़ नहीं रहा यह भी अगर उसी वक़्त तलब करता तो अब शुफ़आ कर सकता था। (आलमगीरी)

मसअला.9:– तलबे मुवासबा के बाद तलबे इश्हाद का मर्तबा है जिसको तलबे तक़रीर भी कहते हैं उसकी सूरत यह है कि बाइअ् या मुश्तरी या उस जायदादे मबीआ (बेची हुई जायदाद) के पास जाकर गवाहों के सामने यह कहे कि फुलाँ शख़्स ने यह जायदाद ख़रीदी है और मैं उसका शफ़ीअ् हूँ और उससे पहले मैं तलबे शुफ़आ कर चुका हूँ और अब फिर तलब करता हूँ तुम लोग उसके गवाह रहो। (हिदाया) यह उस वक़्त है कि जायदादे मबीआ के पास तलबे इश्हाद करे (यानी गवाही तलब करे) और अगर मुश्तरी के पास करे तो यह कहे कि इसने फुलाँ जायदाद ख़रीदी है और मैं फुलाँ जायदाद के ज़रीआ से उसका शफ़ीअ् हूँ और बाइअ् के पास यूँ कहे कि इसने फुलाँ जायदाद फ़रोख़्त की है और मैं फुलाँ जायदाद की वजह से उसका शफ़ीअ हूँ। (नताइज)

मसअला.10:– बाइअ् के पास तलबे इश्हाद के लिए शर्त यह है कि वह जायदाद बाइअ् के क़ब्ज़े में हो यानी अब तक बाइअ् ने मुश्तरी के क़ब्ज़े में न दी हो और मुश्तरी का क़ब्ज़ा होचुका हो तो बाइअ् के पास तलबे इश्हाद नहीं होसकती और मुश्तरी के पास बहर सूरत तलबे इश्हाद होसकती है चाहे वह जायदाद बाइअ् के क़ब्ज़े में हो या मुश्तरी के क़ब्ज़े में हो उसी तरह जायदाद मबीआ के सामने भी मुतलक़न तलबे इश्हाद हो सकती है।(हिदाया, दुर्रेमुख़्तार) तलबे इश्हाद में जायदाद के हुदूदे अरबा (चारों तरफ़ कौन कौन हैं) भी ज़िक्र करदे तो बेहतर है ताकि इख़्तिलाफ़ से बच जाये।

मसअला.11:– जो शख़्स बा'वजूद कुदरत तलबे इश्हाद न करे तो शुफ़आ बातिल होजायेगा मस्लन बिग़ैर इश्हाद क़ाज़ी के पास दअ्वा कर दिया शुफ़आ बातिल होगया तलबे इश्हाद क़ासिद और ख़त के ज़रीआ से भी होसकती है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअला.12:– जो शख़्स दूर है और उसे बैअ् की ख़बर मिली तो ख़बर मिलने के बाद उसको इतना मौक़ा है कि वहाँ से आकर या क़ासिद या वकील को भेजकर तलबे इश्हाद करे उसकी वजह से जितनी ताख़ीर हुई उससे शुफ़आ बातिल नहीं होगा।(आलमगीरी)

मसअला.13:– शफ़ीअ् को रात में ख़बर मिली और वह वक़्त बाहर निकलने का नहीं है इस वजह से सुबह तक तलबे इश्हाद को मुअख़्ख़र किया उससे शुफ़आ बातिल नहीं होगा।(आलमगीरी)

मसअला.14:– बाइअ् व मुश्तरी व जायदादे मबीआ एक ही शहर में हों तो कुर्ब व बोअ्द का एअ्तिबार नहीं यानी यह ज़रूर नहीं कि क़रीब ही के पास तलब करे बल्कि उसे इख़्तियार है कि दूर वाले के पास करे या कुर्ब वाले के पास करे हाँ अगर क़रीब के पास से गुज़रा और यहाँ तलबे इश्हाद न की दूर वाले के पास जाकर की तो शुफ़आ बातिल है और अगर उनमें से एक ही शहर में है और दूसरा दूसरे शहर में या गाँव में है और उस शहर वाले के सामने तलब न की दूसरे शहर या गाँव में इश्हाद के लिये गया तो शुफ़आ बातिल होगया। (आलमगीरी, रद्दुल'मुहतार)

मसअला.15:– तलबे इश्हाद का तलबे मुवासबा के बाद होना उस वक़्त है कि बैअ् का जिस मज्लिस में इल्म हुआ वहाँ न बाइअ् है न मुश्तरी है न जायदादे मबीआ और अगर शफ़ीअ् उन तीनों में से किसी के पास मौजूद था और बैअ् की ख़बर मिली और उस वक़्त अपना शफ़ीअ् होना ज़ाहिर करदिया तो यह एक ही तलब दोनों के क़ाइम मक़ाम है यानी यही तलबे मुवासबा भी है और तलबे इश्हाद भी।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– उन दोनों तलबों के बाद तलबे तम्लीक है यानी अब काज़ी के पास जाकर यह कहे कि फुलाँ शख़्स ने फुलाँ जायदाद ख़रीदी है और फुलाँ जायदाद के ज़रीआ से मैं उसका शफ़ीअ् हूँ वह जायदाद मुझे दिलादी जाये तलबे तम्लीक में ताख़ीर होने से शुफ़आ बातिल होता है या नहीं ज़ाहिरुर्रिवाया यह है कि बातिल नहीं होता और हिदाया वग़ैरहा में तस्रीह है कि उसी पर फ़तवा है और इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह फ़रमाते हैं कि बिला उज़्र एक माह की ताख़ीर से बातिल होजाता है बाज़ किताबों में उसपर फ़तवा होने की तस्रीह है और नज़र ब'हाले ज़माना उस क़ौल को इख़्तियार करना क़रीने मस्लेहत है क्योंकि अगर उसके लिये कोई मीआद न होगी तो ख़ौफ़े शुफ़आ की वजह से मुश्तरी न उस ज़मीन में कोई तामीर कर सकेगा न दरख़्त नसब कर सकेगा और यह मुश्तरी का ज़रर (नुकसान) है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.17:– जवार (पडोस) की वजह से शुफ़आ का हक़ है और क़ाज़ी का मज़हब यह है कि जवार की वजह से शुफ़आ नहीं है शफ़ीअ् ने दअ्वा इस वजह से नहीं किया कि क़ाज़ी मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला करदेगा इस इन्तिज़ार में है कि दूसरा क़ाज़ी आये तो दअ्वा करूँ उस सूरत में बिल' इत्तिफ़ाक़ उसका हक़ बातिल नहीं होगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– शफ़ीअ् के दअ्वा करने पर क़ाज़ी उससे चन्द सुवालात करेगा वह जायदाद कहाँ है, और उसके हुदूदे अरबा क्या हैं, और मुश्तरी ने उस पर क़ब्ज़ा किया है या नहीं, उस पर शुफ़आ किस जायदाद की वजह से करता है और उसके हुदूद क्या हैं,। उस जायदाद के फ़रोख़्त होने का उस शफ़ीअ् को कब इल्म हुआ और उसने उसके मुतअ़ल्लिक़ क्या किया फिर तलबे तक़रीर की या नहीं और किन लोगों के सामने तलबे तक़रीर की और किसके पास तलबे तक़रीर की वह क़रीब था या दूर था जब तमाम सुवालों के जवाबात शफ़ीअ् ने ऐसे देदिये जिनसे दअ्वा पर बुरा असर न पड़ता हो तो उसका दअ्वा मुकम्मल होगया अब मुद्दआ'अ़लैह से दरयाफ़्त करेगा कि शफ़ीअ् जिस जायदाद के ज़रीआ से शुफ़आ करता है उसका मालिक है या नहीं अगर उसने इन्कार कर दिया तो शफ़ीअ् को गवाहों के ज़रीआ से उस जायदाद का मालिक होना साबित करना होगा या गवाह न होने की सूरत में मुद्दआ'अ़लैह पर हल्फ़ दिया जायेगा गवाह से या मुद्दआ'अ़लैह के हल्फ़ से इन्कार करने से जब शफ़ीअ् की मिल्क साबित होगई तो मुद्दआ'अ़लैह से दरयाफ़्त करेगा कि वह जायदाद जिस पर शुफ़आ का दअ्वा है उसने ख़रीदी है या नहीं अगर उसने ख़रीदने से इन्कार कर दिया तो शफ़ीअ् को गवाहों से उसका ख़रीदना साबित करना होगा और अगर गवाह न हों तो मुद्दआ'अ़लैह पर फिर हल्फ़ पेश किया जायेगा अगर हल्फ़ से नुकूल (इनकार) किया या गवाहों से ख़रीदना साबित होगया तो क़ाज़ी शुफ़आ का फ़ैसला कर देगा। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.19:– शुफ़आ का दअ्वा करने के लिये यह ज़रूर नहीं कि शफ़ीअ् समन क़ो क़ाज़ी के पास हाज़िर करदे जब ही उसका दअ्वा सुना जाये और यह भी ज़रूर नहीं कि फ़ैसले के वक़्त समन क़ाज़ी के पास पेश करदे जब ही वह फ़ैसला करे।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.20:– फ़ैसले के बाद उसे समन लाकर देना होगा और अगर समन अदा करने को कहा गया और उसने अदा करने में ताख़ीर की कहदिया कि इस वक़्त मेरे पास नहीं है या यह कि कल हाज़िर करदूँगा या इसी क़िस्म की कुछ और बात कही तो शुफ़आ बातिल न होगा।(हिदाया)

मसअ्ला.21:– फ़ैसले के बाद समन वसूल करने के लिये मुश्तरी उस जायदाद को रोक सकता है कह सकता है कि जब तक समन अदा न करोगे यह जायदाद मैं तुमको नहीं दूँगा।(हिदाया)

मसअ्ला.22:– शुफ़आ का दअ्वा मुश्तरी पर मुतलक़न होसकता है उसने जायदाद पर क़ब्ज़ा किया हो या न किया हो उसको मुद्दआ'अ़लैह बनाया जासकता है और बाइअ् को भी मुद्दअ्'अ़लैह बनाया जा सकता है जब कि जायदाद अब तक बाइअ् के क़ब्ज़े में हो मगर बाइअ् के मुक़ाबले में गवाह नहीं सुने जायेंगे जब तक मुश्तरी हाज़िर न हो यूँही अगर बाइअ् पर दअ्वा हुआ तो जब तक मुश्तरी

हाज़िर न हो हक़्क़े मुश्तरी में वह बैअ् फस्ख़ नहीं की जायेगी और अगर मुश्तरी का क़ब्ज़ा होचुका हो तो बाइअ् के हाज़िर होने की ज़रूरत नहीं। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.23:– बाइअ् के क़ब्ज़े में जायदाद हो तो बाइअ् पर काज़ी शुफ़आ का फ़ैसला करेगा और उसकी तमाम'तर ज़िम्मेदारी बाइअ् पर होगी जायदादे मशफ़ूआ में अगर किसी दूसरे का हक़ साबित हुआ और उसने लेली तो समन की वापसी बाइअ् के ज़िम्म है और अगर जायदाद पर मुश्तरी का क़ब्ज़ा होचुका है तो ज़िम्मेदारी मुश्तरी पर होगी यानी जब कि मुश्तरी ने बाइअ् को समन अदा कर दिया है और शफ़ीअ् ने मुश्तरी को समन दिया और अगर अभी मुश्तरी ने समन अदा नहीं किया है शफ़ीअ् ने बाइअ् को समन दिया तो बाइअ् ज़िम्मेदार है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.24:– शफ़ीअ् को ख़ियारे रूयत और ख़ियारे ऐब हासिल है यानी अगर उसने जायदाद मश्फ़ूआ नहीं देखी है तो देखने के बाद लेने से इन्कार कर सकता है यूंही अगर उसमें कोई ऐब है तो ऐब की वजह से वापस कर सकता है क्योंकि शुफ़आ के ज़रीआ से जायदाद का मिलना बैअ् का हुक्म रखता है लिहाज़ा बैअ् में जिस तरह यह दोनों ख़ियार हासिल होते हैं यहाँ भी होंगे। और अगर मुश्तरी ने ऐब से बराअ्त करली है, कह दिया है कि उसमें कोई ऐब निकले तो उसकी ज़िम्मेदारी नहीं उस सूरत में भी ऐब की वजह से वापस कर सकता है। मुश्तरी का बराअ्त क़बूल करना कोई चीज़ नहीं।(हिदाया)

मसअ्ला.25:– शुफ़आ में ख़ियारे शर्त नहीं होसकता न उसमें समन अदा करने के लिये कोई मीआद मुक़र्रर की जासकती न उसमें गुरर यानी धोके की वजह से ज़मान लाज़िम होसकता है यानी मसलन शफ़ीअ् ने उस जायदाद में कोई जदीद तअ्मीर की उसके बाद मुस्तहक़ ने दअ्वा किया कि यह जायदाद मेरी है और वह जायदाद मुस्तहक़ को मिलगई तो तअ्मीर की वजह से शफ़ीअ् का जो कुछ नुक़सान हुआ वह न बाइअ् से ले सकता है न मुश्तरी से कि उसने यह जायदाद जबरन वुसूल की है उन्होंने अपने क़स्द व इख़्तियार से उसे नहीं दी है कि वह उसके नुक़सान का ज़मान दें। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.26:– मुश्तरी यह कहता है कि शफ़ीअ् को जिस वक़्त बैअ् का इल्म हुआ उसने तलब नहीं की और शफ़ीअ् कहता है मैंने उस वक़्त तलब की तो शफ़ीअ् को गवाहों से साबित करना होगा और गवाह न हों तो क़सम के साथ मुश्तरी का क़ौल मोअ्तबर है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.27:– शफ़ीअ् व मुश्तरी में समन का इख़्तिलाफ़ है और गवाह किसी के पास न हों तो क़सम के साथ मुश्तरी का क़ौल मोअ्तबर है और अगर दोनों गवाह पेश करें तो गवाह शफ़ीअ् के मोअ्तबर होंगे।(हिदाया)

मसअ्ला.28:– मुश्तरी ने दअ्वा किया कि समन इतना है और बाइअ् ने उससे कम समन का दअ्वा किया उसकी दो सूरतें हैं बाइअ् ने समन पर क़ब्ज़ा किया है या नहीं अगर क़ब्ज़ा नहीं किया है तो बाइअ् का क़ौल मोअ्तबर है यानी उसने जो कुछ बताया शफ़ीअ् उतने ही में लेगा और अगर बाइअ् समन पर क़ब्ज़ा कर चुका है तो मुश्तरी का क़ौल मोअ्तबर है यानी अगर शफ़ीअ् लेना चाहे तो वह समन अदा करे जिसको मुश्तरी बताता है और बाइअ् की बात ना'मोअ्तबर है कि जब वह समन लेचुका है तो उस मुआमले में उसका तअ़ल्लुक़ ही क्या है और अगर बाइअ् समन ज़्यादा बताता है और मुश्तरी कम बताता है और यह इख़्तिलाफ़ बाइअ् के समन वसूल कर लेने के बाद है तो मुश्तरी की बात मोअ्तबर है और समन पर क़ब्ज़ा करने से पहले यह इख़्तिलाफ़ है तो बाइअ् व मुश्तरी दोनों पर हल्फ़ है जो हल्फ़ से इन्कार करदे उसके मुक़ाबिल की मोअ्तबर है और अगर दोनों ने हल्फ़ करलिया तो दोनों यानी बाइअ् व मुश्तरी के मा'बैन बैअ् फस्ख़ करदी जायेगी मगर शफ़ीअ् के हक़ में यह बैअ् फस्ख़ नहीं होगी वह चाहे तो उतने समन के एवज़ में लेसकता है जिस को बाइअ् ने बताया।(हिदाया)

मसअ्ला.29:– बाइअ् का स्मन पर क़ब्ज़ा करना ज़ाहिर न हो और मिक़दारे स्मन में इख़्तिलाफ़ हो उसकी दो सूरतें हैं बाइअ् ने स्मन पर क़ब्ज़ा करने का इक़रार किया है या नहीं अगर इक़रार नहीं किया है तो उसका हुक्म वही जो क़ब्ज़ा न करने की सूरत में है और अगर इक़रार कर लिया है और मुश्तरी ज़्यादा का दअ्वा करता है और जायदाद उसके क़ब्ज़े में है तो उसकी फिर दो सूरतें हैं पहले मिक़दारे स्मन का इक़रार किया फिर क़ब्ज़ा का या उसका अक्स है यानी पहले क़ब्ज़ा का इक़रार किया फिर मिक़दार का अगर पहली सूरत है मस्लन यूँ कहा कि उस मकान को मैंने हज़ार रुपये में बेचा और स्मन पर क़ब्ज़ा पा लिया शफ़ीअ् एक हज़ार में लेगा और मुश्तरी जो एक हज़ार से ज़्यादा स्मन बताता है उसका एअ्तिबार नहीं और अगर दूसरी सूरत है यानी पहले क़ब्ज़ा का इक़रार है फिर मिक़दारे स्मन का मस्लन यूँ कहा कि मकान मैंने बेच दिया और स्मन पर क़ब्ज़ा करलिया और स्मन एक हज़ार है तो उस सूरत में मुश्तरी की बात मोअ्तबर है।(हिदाया, एनाया)

मसअ्ला.30:– मुश्तरी यह कहता कि मैंने स्मने मुअज्जल(معجل) (फ़ौरन अदा करना) के एवज़ में ख़रीदा है यानी स्मन अभी वाजिबुल'अदा है और शफ़ीअ् कहता है कि समने मुअज्जल(مئوجل)(मुद्दत होना) के एवज़ में ख़रीदा है यानी फ़ौरन वाजिबुलअदा नहीं है उसके लिये कोई मीआद मुक़र्रर है तो मुश्तरी का क़ौल मोअ्तबर है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.31:– मुश्तरी यह कहता है कि यह पूरा मकान मैंने दो अक़्द के ज़रीआ से ख़रीदा है यानी पहले यह हिस्सा इतने में ख़रीदा उसके बाद यह हिस्सा इतने में ख़रीदा और शफ़ीअ् कहता है कि तुमने पूरा मकान एक अक़्द से ख़रीदा है तो शफ़ीअ् का क़ौल मोअ्तबर है और अगर किसी के पास गवाह हों तो गवाह मक़बूल हैं और अगर दोनों गवाह पेश करें और गवाहों ने वक़्त नहीं बयान किया तो मुश्तरी के गवाह मोअ्तबर हैं।(आलमगीरी)

मसअ्ला.32:– एक शख़्स ने मकान ख़रीदा शफ़ीअ् ने शुफ़आ का दअ्वा किया और मुश्तरी ने उसका स्मन एक हज़ार बताया था शफ़ीअ् ने एक हज़ार देकर लेलिया फिर शफ़ीअ् को गवाह मिले जो कहते हैं उसने पाँचसौ में ख़रीदा था यह गवाह सुने जायेंगे और अगर मुश्तरी के कहने की शफ़ीअ् ने तस्दीक़ करली थी तो अब यह गवाह नहीं सुने जायेंगे।(आलमगीरी)

मसअ्ला.33:– बाइअ् व मुश्तरी उस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि उस बैअ् में बाइअ को ख़ियारे शर्त है और शफ़ीअ् उससे इन्कार करता है तो उन्ही दोनों की बात मोअ्तबर है और शफ़ीअ् को शुफ़आ का हक़ हासिल नहीं और अगर बाइअ् शर्ते ख़ियार का मुद्दई है और मुश्तरी व शफ़ीअ् दोनों उससे इन्कार करते हैं तो मुश्तरी का क़ौल मोअ्तबर है और शफ़ीअ् को हक़्क़े शुफ़आ हासिल है और अगर मुश्तरी शर्ते ख़ियार का मुद्दई है और बाइअ् व शफ़ीअ् दोनों इन्कार करते हैं तो बाइअ् का क़ौल मोअ्तबर है और शुफ़आ होसकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– जायदाद तीन शख़्सों की शिरकत में है उनमें से दो शख़्सों ने यह शहादत दी कि हम तीनों ने यह जायदाद फ़ुलाँ शख़्स के हाथ बैअ् करदी है और वह शख़्स भी कहता है कि मैंने ख़रीदली है मगर वह तीसरा शरीक बैअ् से इन्कार करता है उनकी गवाही शरीक के ख़िलाफ़ ना'मोअ्तबर है मगर शफ़ीअ् उन दोनों के हिस्सों को शुफ़आ के ज़रीआ से लेसकता है और अगर मुश्तरी ख़रीदने से इन्कार करता है और यह तीनों शुरका बैअ् की शहादत देते हैं तो उनकी यह गवाही भी बातिल है मगर शफ़ीअ् पूरी जायदाद को बज़रीआ शुफ़आ लेसकता है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.35:– एक हज़ार में मकान ख़रीदा उस पर शुफ़आ का दअ्वा हुआ मुश्तरी यह कहता है कि उस मकान में मैंने यह जदीद तामीर की है और शफ़ीअ् मुन्किर है उसमें मुश्तरी का क़ौल मोअ्तबर है और दोनों ने गवाह पेश किये तो गवाह शफ़ीअ् ही के मोअ्तबर होंगे यूंही अगर ज़मीन ख़रीदी है और मुश्तरी यह कहता है कि मैंने उस में यह दरख़्त नसब किये हैं और शफ़ीअ् इन्कार करता है तो क़ौल मुश्तरी का मोअ्तबर है और गवाह शफ़ीअ् के मगर उन दोनों सूरतों में यह ज़रूर

है कि मुश्तरी का क़ौल ज़ाहिर के ख़िलाफ़ न हो मस्लन दरख़्तों की निस्बत कहता है मैंने कुल नसब किये हैं हालांकि मालूम होता है कि वह बहुत दिनों के हैं या इमारत को कहता है कि मैंने अब बनाई है और वह इमारत पुरानी मालूम होती है।(आलमगीरी)

मसअला.36:– मुश्तरी कहता है मैंने सिर्फ़ ज़मीन ख़रीदी है उसके बाद बाइअ ने यह इमारत मुझे हिबा करदी है या यह कि पहले उसने मुझे इमारत हिबा करदी थी उसके बाद मैंने ज़मीन ख़रीदी और शफ़ीअ यह कहता है तुमने दोनों चीज़ें ख़रीदी हैं यहाँ मुश्तरी का क़ौल मोअतबर है शफ़ीअ अगर चाहे तो उसको बज़रीआ शुफ़आ लेले जो मुश्तरी ने ख़रीदा है।(आलमगीरी)

मसअला.37:– दो मकान ख़रीदे और एक शख़्स दोनों का जारे'मुलासिक़ है वह शुफ़आ करता है मुश्तरी यह कहता है कि मैंने दोनों आगे पीछे ख़रीदे हैं यानी दो अक़्दों में ख़रीदे हैं लिहाज़ा दूसरे मकान में तुम्हें शुफ़आ करने का हक़ नहीं शफ़ीअ यह कहता है कि दोनों मकान तुमने एक अक़्द के ज़रीआ से ख़रीदे हैं और मुझे दोनों में शुफ़आ का हक़ है इस सूरत में मुश्तरी को यह साबित करना होगा कि दो अक़्दों के ज़रीआ ख़रीदा है वरना क़ौल शफ़ीअ का मोअतबर होगा यूंही अगर मुश्तरी यह कहता है कि मैंने निस्फ़ मकान पहले ख़रीदा उसके बाद निस्फ़ ख़रीदा और शफ़ीअ यह कहता है कि पूरा मकान एक अक़्द से ख़रीदा है तो शफ़ीअ का क़ौल मोअबर है और अगर मुश्तरी यह कहता है कि पूरा मकान मैंने एक अक़्द से ख़रीदा है और शफ़ीअ यह कहता है कि आधा–आधा करके दो मर्तबा में लिहाज़ा मैं सिर्फ़ निस्फ़ मकान पर शुफ़आ करता हूँ तो उसमें मुश्तरी का क़ौल मोअतबर है।(आलमगीरी)

मसअला.38:– शफ़ीअ यह कहता है कि मुश्तरी ने मकान का एक हिस्सा मुन्हदिम करदिया और मुश्तरी उससे इन्कार करता है तो मुश्तरी का क़ौल मोअतबर है और गवाह शफ़ीअ के मोअतबर होंगे(आलमगीरी)

जायदाद कितने दामों में शफ़ीअ को मिलेगी

यह बयान किया जा चुका कि मुश्तरी ने जिन दामों में जायदाद ख़रीदी है शफ़ीअ को उतने ही में मिलेगी मगर बाज़ मर्तबा अक़्द के बाद समन में कमी बेशी करदी जाती है और बाज़ मर्तबा उस चीज़ में कमी बेशी होजाती है यहाँ यह बयान करना है कि उस कमी बेशी का असर शफ़ीअ पर होगा या नहीं।

मसअला.1:– अगर बाइअ ने अक़्द के बाद समन में कुछ कमी करदी तो चूंकि यह कमी अस्ल अक़्द के साथ मुलहक़ (मिली हुई) होती है जिसका बयान किताबुल'बुयूअ में गुज़र चुका है लिहाज़ा शफ़ीअ के हक़ में भी उस कमी का एअतिबार होगा यानी उस कमी के बाद जो कुछ बाक़ी है उसके बदले में शफ़ीअ उस जायदाद को लेगा और अगर बाइअ ने पूरा समन साक़ित करदिया तो उसका एअतिबार नहीं यानी शफ़ीअ को पूरा समन देना होगा।(हिदाया)

मसअला.2:– बाइअ ने पहले निस्फ़ समन कम कर दिया उसके बाद बक़िया निस्फ़ भी साक़ित करदिया तो शफ़ीअ से निस्फ़ अव्वल साक़ित होगया और बाद में जो साक़ित किया है यह देना होगा(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.3:– बाइअ ने मुश्तरी को समन हिबा करदिया उसकी दो सूरतें हैं समन पर क़ब्ज़ा करने के बाद हिबा किया है तो उसका एअतिबार नहीं यानी शफ़ीअ पूरा समन दे और क़ब्ज़ा से पहले समन का कुछ हिस्सा हिबा किया तो शफ़ीअ से यह रक़म साक़ित होजायेगी।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअला.4:– बाइअ ने एक शख़्स को बैअ का वकील किया उस वकील ने अक़्द के बाद मुश्तरी से समन का कुछ हिस्सा कम करदिया अगर्चे यह कमी मुश्तरी के हक़ में मोअतबर है कि उससे यह हिस्सा कम होजायेगा मगर उस कमी का वकील ज़ामिन है यानी बाइअ को पूरा समन यह देगा लिहाज़ा शफ़ीअ के हक़ में उस कमी का एअतिबार नहीं। (रद्दुल'मुहतार)

मसअला.5:– शफ़ीअ को मालूम था कि एक हज़ार में मुश्तरी ने ख़रीदा है उसने हज़ार देदिये उस के बाद बाइअ ने सौ रुपये की मुश्तरी से कमी करदी तो यह रक़म शफ़ीअ से भी कम होजायेगी यानी शुफ़आ से पहले बाइअ ने कम किया या बाद में दोनों का एक हुक्म है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– मुश्तरी ने अ़क़्द के बाद स्मन में इज़ाफ़ा किया यह ज़्यादती भी अस्ल अ़क़्द के साथ लाहिक़ होगी मगर शफ़ीअ़ का हक़ पहले स्मन के साथ मुतअ़ल्लिक़ होचुका और शफ़ीअ़ पर यह ज़्यादती लाज़िम करने में उसका ज़रर है लिहाज़ा उसका एअ़तिबार नहीं शफ़ीअ़ को वह चीज़ पहले ही स्मन में मिलजायेगी।(हिदाया)

मसअ्ला.7:– मुश्तरी ने जायदाद को मिस्ली चीज़ के एवज़ में ख़रीदा है तो शफ़ीअ़ उसकी मिस्ल देकर जायदाद को हासिल कर सकता है और क़ीमती चीज़ के एवज़ में ख़रीदा है तो उस चीज़ की बैअ़ के वक़्त जो क़ीमत थी शफ़ीअ़ को वह देनी होगी और अगर जायदादे ग़ैर मन्कूला को जायदादे ग़ैर मन्कूला के एवज़ में ख़रीदा है मस्लन अपने मकान के एवज़ में दूसरा मकान ख़रीदा और फ़र्ज़ करो दोनों मकान के दो शफ़ीअ़ हों और दोनों ने ब'ज़रीआ़ शुफ़आ़ लेना चाहा तो उस मकान की क़ीमत के बदले में इस मकान को लेगा और इसकी क़ीमत के एवज़ में उसको लेगा।(हिदाया)

मसअ्ला.8:– अ़क़्दे बैअ़ में स्मन की अदा के लिये कोई मीआ़द मुक़र्रर थी तो शफ़ीअ़ को इख़्तियार है कि अभी स्मन देकर मकान लेले और चाहे तो मीआ़द पूरी होने का इन्तिज़ार करे जब मीआ़द पूरी हो उस वक़्त स्मन अदा करके चीज़ ले और यह नहीं कर सकता कि चीज़ तों अब ले और स्मन मीआ़द पूरी होने पर अदा करे मगर दूसरी सूरत में जो इन्तिज़ार करने के लिये किया गया उसका यह मतलब नहीं कि शुफ़आ़ तलब करने में इन्तिज़ार करे अगर तलबे शुफ़आ़ में देर करेगा तो शुफ़आ़ ही बातिल होजायेगा बल्कि शुफ़आ़ तो उसी वक़्त तलब करेगा और चीज़ उस वक़्त लेगा जब मीआ़द पूरी होगी और पहली सूरत में कि उसी वक़्त स्मन अदा करके ले अगर उसने वह स्मन बाइअ़ को दिया तो मुश्तरी से बाइअ़ का मुतालबा साक़ित होगया और अगर मुश्तरी को दिया तो मुश्तरी को इख़्तेयार है कि बाइअ़ को उस वक़्त दे जब मीआ़द पूरी होजाये बाइअ़ उससे अभी मुतालबा नहीं कर सकता हिदाया।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– मुश्तरी ने जदीद तअ़मीर की या ज़मीन में दरख़्त नसब करदिये और ब'ज़रीआ़ शुफ़आ़ यह जायदाद शफ़ीअ़ को दिलाई गई तो वह मुश्तरी से यह कहे कि अपनी इमारत तोड़कर और दरख़्त काटकर लेजा और अगर इमारत तोड़ने और दरख़्त खोदने में ज़मीन ख़राब होने का अन्देशा हो तो इस इमारत को तोड़ने के बाद और दरख़्त काटने के बाद जो क़ीमत हो वह क़ीमत मुश्तरी को देदे और उन चीज़ों को ख़ुद लेले। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– मुश्तरी ने उस ज़मीन में काश्त की और फ़स्ल तैयार होने से पहले शफ़ीअ़ ने शुफ़आ़ करके लेली तो मुश्तरी को उसपर मजबूर नहीं किया जायेगा कि अपनी कच्ची खेती काटले बल्कि शुफ़अ़ को फ़स्ल तैयार होने तक इन्तिज़ार करना होगा और उस ज़माने की उजरत भी मुश्तरी से नहीं दिलाई जायेगी। हाँ अगर ज़राअ़त से ज़मीन में कुछ नुक़सान पैदा होगया तो बक़द्र नुक़सान स्मन में से कम करके बक़िया स्मन शफ़ीअ़ अदा करेगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– मुश्तरी ने मकान में रोग़न करलिया या रंग कराया या सफ़ेदी कराई या पलास्तर कराया तो उन चीज़ों की वजह से मकान की क़ीमत में जो कुछ इज़ाफ़ा हुआ शफ़ीअ़ को यह भी देना होगा और अगर न देना चाहे तो शुफ़आ़ छोड़दे।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– एक शख़्स ने मकान ख़रीदा और उसे ख़ुद उसी मुश्तरी ने मुन्हदिम करदिया या किसी दूसरे शख़्स ने मुन्हदिम करदिया तो स्मन को ज़मीन और बनी हुई इमारत की क़ीमत पर तक़सीम करें। ज़मीन के मुक़ाबिल में स्मन का जितना हिस्सा आये वह देकर ज़मीन लेले और अगर वह इमारत ख़ुद मुन्हदिम होगई किसी ने गिराई नहीं तो स्मन को उस ज़मीन और उस मलबे पर तक़सीम करें जो हिस्सा ज़मीन के मुक़ाबिल में पड़े उसके एवज़ में ज़मीन को लेले और आग से वह मकान जल गया और कोई सामान बाक़ी न रहा या सैलाब सारी इमारत को बहा ले गया तो पूरे स्मन के एवज़ में शफ़ीअ़ उस ज़मीन को ले सकता है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– मुश्तरी ने सिर्फ़ इमारत बेच दी और ज़मीन नहीं बेची है मगर इमारत अभी क़ाइम है तो शफ़ीअ् उस बैअ् को तोड़ सकता है और इमारत व ज़मीन दोनों को ब'ज़रीआ शुफ़आ ले सकता है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– मुश्तरी या किसी दूसरे ने इमारत मुन्हदिम करदी है या वह खुद गिरगई और मलबा मौजूद है शफ़ीअ् यह चाहता है कि शुफ़आ में उस सामान को भी लेले वह ऐसा नहीं कर सकता बल्कि सिर्फ़ ज़मीन को ले सकता है। यूंहीं अगर मुश्तरी ने मकान में से दरवाज़े निकलवाकर बेचडाले तो शफ़ीअ् उन दरवाज़ों को नहीं ले सकता बल्कि दरवाज़ों की क़ीमत की क़द्र ज़रे स्मन से कम करके मकान को शुफ़आ में ले सकता है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– मकान का कुछ हिस्सा दरिया बुर्द होगया (दरिया बहा ले गया) कि उस हिस्से में दरिया का पानी जारी है तो मा'बकिया (जो बचा) को हिस्सा स्मन के मुक़ाबिल में शफ़ीअ् ले सकता है(आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– ज़मीन ख़रीदी जिसमें दरख़्त हैं और दरख़्तों में फल लगे हुए हैं और मुश्तरी ने फल भी अपने लिये शर्त कर लिये हैं और उस में शुफ़आ हुआ अगर फल अब भी मौजूद हैं तो शफ़ीअ् ज़मीन व दरख़्त और फल सब को लेगा और अगर फल टूट चुके हैं तो सिर्फ़ ज़मीन व दरख़्त लेगा और फलों की क़ीमत स्मन से कम करदी जायेगी और अगर ख़रीदने के बाद फल आये उसमें चन्द सूरतें हैं अभी तक दरख़्त बाइअ् ही के क़ब्ज़े में थे कि फल आगये तो शफ़ीअ् फलों को भी लेगा और फल तोड़ लिये हों तो उनकी क़ीमत की मिक़दार स्मन से कम की जायेगी और अगर मुश्तरी के क़ब्ज़ा करने के बाद फल आये और फल मौजूद हैं तो शफ़ीअ् फलों को भी लेगा और स्मन में इज़ाफ़ा नहीं किया जायेगा और अगर मुश्तरी ने तोड़कर बेचडाले या खालिये तो शफ़ीअ् को ज़मीन व दरख़्त मिलेंगे और स्मन में कुछ कमी नहीं की जायेगी। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.17:– बैअ् में फल मशरूत थे और आफ़ते समाविया (क़ुदरती आफ़त जैसे आंधी, तूफ़ान वग़ैरह) से फल जाते रहे तो उनके मुक़ाबिल में स्मन का हिस्सा साक़ित होजायेगा और अगर बाद में पैदा हुए और आफ़ते समाविया से जाते रहे तो स्मन में कुछ कमी नहीं की जायेगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.18:– शफ़ीअ् के लेने से पहले मुश्तरी ने जायदाद में तसर्रुफ़ात किये शफ़ीअ् उसके तमाम तसर्रुफ़ात को रद कर देगा मस्लन मुश्तरी ने बैअ् करदी या हिबा करदी और क़ब्ज़ा भी देदिया या उसको सदक़ा करदिया बल्कि उसको मस्जिद करदिया और उसमें नमाज़ भी पढ़ली गई या उस को क़ब्रिस्तान बनाया और मुर्दा भी उसमें दफ़्न करदिया गया या और किसी क़िस्म का वक़्फ़ किया ग़र्ज़ किसी क़िस्म का तसर्रुफ़ किया हो शफ़ीअ् उन तमाम तसर्रुफ़ात को बातिल करके वह जायदाद ले लेगा।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.19:– शुफ़आ से पहले मुश्तरी ने जो कुछ तसर्रुफ़ किया है वह तसर्रुफ़ सहीह है मगर शफ़ीअ् उसको तोड़ देगा यह नहीं कहा जासकता है कि वह तसर्रुफ़ ही सहीह नहीं है लिहाज़ा उस जायदाद को अगर मुश्तरी ने किराया पर दिया तो यह किराया मुश्तरी के लिये हलाल है बल्कि अगर उसने बैअ् करडाली है तो स्मन भी मुश्तरी के लिये हलाल तैयिब है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.20:– एक मकान का निस्फ़ हिस्सा ग़ैर मुअय्यन ख़रीदा ख़रीदने के बाद ब'ज़रीआ तक़सीम मुश्तरी ने अपना हिस्सा जुदा कर लिया यह तक़सीम आपस की रज़ा'मन्दी से हो या हुक्मे क़ाज़ी से बहर हाल शफ़ीअ् उसी हिस्से को लेसकता है जो मुश्तरी को मिला उस तक़सीम को तोड़कर जदीद तक़सीम नहीं कर सकता और अगर मकान में दो शख़्स शरीक थे एक ने अपना हिस्सा बैअ् करदिया और मुश्तरी ने दूसरे शरीक से तक़सीम कराई और अपना हिस्सा जुदा कर लिया उस सूरत में शफ़ीअ् उस तक़सीम को तोड़ सकता है।(आलमगीरी)

किस में शुफ़आ होता है और किस में नहीं

मसअ्ला.1:– शुफ़आ सिर्फ़ जायदादे ग़ैर मुन्कूला में हो सकता है जिसकी मिल्क माल के एवज़ में

हासिल हुई हो अगर्चे वह जायदाद क़ाबिले तक़सीम न हो जैसे चक्की का मकान और हम्माम और कुँआ और छोटी कोठरी कि यह चीज़ अगर्चे क़ाबिले तक़सीम नहीं हैं उनमें भी शुफ़आ हो सकता है। जायदादे मन्कूला में शुफ़आ नहीं हो सकता लिहाज़ा कश्ती और सिर्फ़ इमारत या सिर्फ़ दरख़्त किसी ने ख़रीदे उनमें शुफ़आ नहीं होसकता अगर्चे यह तै पाया हो कि इमारत और दरख़्त बरक़रार रहेंगे हाँ अगर इमारत या दरख़्त को ज़मीन के साथ फ़रोख़्त किया तो तब्अ़न उनमें भी शुफ़आ होगा।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– जायदादे ग़ैर मन्कूला को निकाह का महर क़रार दिया या औरत ने उसके एवज़ ख़ुलअ् कराया या किसी चीज़ की उजरत उसको क़रार दिया या दमे अ़मद (जान बूझकर कत्ल का बदला) का उसे बदले सुलह क़रार दिया या विरासत में मिली या किसी ने बतौर सदक़ा देदी या हिबा की बशर्ते कि हिबा में एवज़ की शर्त न हो तो शुफ़आ नहीं हो सकता कि उन सब सूरतों में माल के एवज़ में मिल्क नहीं हासिल हुई।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– किसी शख़्स पर एक चीज़ का दअ़वा था उसने अपना मकान देकर मुद्दई से सुलह करली उस पर शुफ़आ हो सकता है अगर्चे सुलह इन्कार या सुकूत के बाद हो क्योंकि मुद्दई उस को अपने उस हक़ के एवज़ में लेना क़रार देता है और शुफ़आ का तअ़ल्लुक़ उसी मुद्दई से है लिहाज़ा मुद्दआ'अ़लैह के इन्कार का एअ़तिबार नहीं और अगर उसी मकान का दअ़वा था और मुद्दआ अ़लैह ने इक़रार के बाद कुछ देकर मुद्दई से सुलह करली तो शुफ़आ हो सकता है कि यह सुलह हक़ीक़तन उन दामों के एवज़ उस मकान को ख़रीदना है और अगर मुद्दआ'अ़लैह ने इन्कार या सुकूत के बाद सुलह की तो शुफ़आ नहीं हो सकता कि यह सुलह बैअ् के हुक्म में नहीं है बल्कि कुछ देकर झगड़ा काटना है। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.4:– अगर बैअ् में बाइअ् ने अपने लिये ख़ियारे शर्त किया हो तो जब तक ख़ियार साक़ित न हो शुफ़आ नहीं हो सकता कि ख़ियार होते हुए मबीअ् मिल्के बाइअ् से ख़ारिज ही न हुई शुफ़आ क्योंकर हो और सहीह यह है कि शुफ़आ की तलब ख़ियारे साक़ित होने पर की जाये और अगर मुश्तरी ने अपने लिये ख़ियारे शर्त किया तो शुफ़आ हो सकता है क्योंकि मबीअ् मिल्के बाइअ् से ख़ारिज होगई और अन्दरुने मुद्दत ख़ियार शफ़ीअ् ने ले लिया तो बैअ् वाजिब होगई और शफ़ीअ् के लिये ख़ियारे शर्त नहीं हासिल होगा। (हिदाया)

मसअ्ला.5:– बैअ् फ़ासिद में उस वक़्त शुफ़आ होगा जब बाइअ् का हक़ मुन्क़तेअ् होजाये यानी उसे वापस लेने का हक़ न रहे मसलन उस जायदाद में मुश्तरी ने कोई तसर्रुफ़ कर लिया नई इमारत बनाई अब शुफ़आ होसकता है और हिबा ब'शर्तिल'एवज़ में उस वक़्त शुफ़आ होसकता है जब तक़ाबुज़े बदलैन होजाये यानी उसने उसकी चीज़ और उसने उसकी चीज़ पर क़ब्ज़ा कर लिया और फ़क़त एक ने क़ब्ज़ा किया हो दूसरे ने क़ब्ज़ा नहीं किया हो तो शुफ़आ नहीं हो सकता और फ़र्ज़ करो एक ने ही क़ब्ज़ा किया और शफ़ीअ् ने शुफ़आ की तस्लीम करदी तो दूसरे के क़ब्ज़े के बाद शुफ़आ कर सकता है कि वह पहली तस्लीम सहीह नहीं कि क़ब्ल अज़ वक़्त है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– बैअ् फ़ासिद के ज़रीआ से एक मकान ख़रीदा उसके बाद उस मकान के पहलू में दूसरा मकान फ़रोख़्त हुआ अगर वह मकाने अव्वल अभी तक बाइअ् ही के क़ब्ज़े में है तो बाइअ् शुफ़आ कर सकता है क्योंकि बैअ् फ़ासिद से बाइअ् की मिल्क ज़ाइल नहीं हुई और अगर मुश्तरी को क़ब्ज़ा देदिया है तो मुश्तरी शुफ़आ कर सकता है कि अब यह मालिक है और अगर बाइअ् का क़ब्ज़ा था और उसने शुफ़आ का दअ़वा किया था और क़ब्ले फ़ैसला मुश्तरी को क़ब्ज़ा देदिया शुफ़आ बातिल होगया और फ़ैसले के बाद मुश्तरी के क़ब्ज़े में दिया तो जायदादे मश्फ़ूआ पर इस का कुछ असर नहीं और अगर मुश्तरी का क़ब्ज़ा था और मुश्तरी ने शुफ़आ का दअ़वा भी किया था और क़ब्ले फ़ैसला बाइअ् ने मुश्तरी से वापस लेलिया तो मुश्तरी का दअ़वा बातिल होगया और बादे फ़ैसला बाइअ् ने वापस लिया तो उसका कुछ असर नहीं यानी मुश्तरी उस मकान का मालिक है

जिस को बज़रीआ शुफ़आ हासिल किया।(हिदाया)

मसअला.7:– जायदाद फ़रोख़्त हुई और शफ़ीअ़ ने शुफ़आ से इन्कार करदिया फिर मुश्तरी ने ख़ियारे रुयत या ख़ियारे शर्त की वजह से वापस करदी या उसमें ऐब निकला और हुक्मे क़ाज़ी से वापस हुई तो उस वापसी को बैअ़ क़रार देकर शफ़ीअ़ शुफ़आ नहीं कर सकता कि यह वापसी फ़स्ख़ है बैअ़ नहीं है और अगर ऐब की सूरत में बिग़ैर हुक्मे क़ाज़ी बाइअ़ ने ख़ुद वापस लेली तो शुफ़आ हो सकता है कि हक़्क़े सालिस् (तीसरे के हक़) में यह बैअ़ जदीद है यूंही अगर बैअ़ का इक़ाला हुआ तो शुफ़आ हो सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

शुफ़आ बातिल होने के वुजूह

मसअला.1:– तलबे मुवासबत या तलबे इश्हाद न करने से शुफ़आ बातिल होजाता है शुफ़आ की तस्लीम से भी बातिल होजाता है मस्लन यह कहे कि उस मकान का शुफ़आ मैंने तस्लीम कर दिया। बाइअ़ के लिये तस्लीम करे या मुश्तरी या वकीले मुश्तरी के लिये क़ब्ज़ा–ए–मुश्तरी से क़ब्ल तस्लीम करे या बाद में हर सूरत में बातिल होजाता है अलबत्ता यह ज़रूर है कि बैअ़ के बाद तस्लीम हो और अगर बैअ़ से क़ब्ल तस्लीम पाई गई तो उससे शुफ़आ बातिल नहीं होगा यूंही अगर यह कहे कि मैंने शुफ़आ बातिल करदिया या साक़ित करदिया जब भी शुफ़आ बातिल होजायेगा नाबालिग़ के लिये हक़्क़े शुफ़आ था उसके बाप या वसी ने तस्लीम की शुफ़आ बातिल होगया(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.2:– तलबे शुफ़आ के लिये वकील किया था वकील ने क़ाज़ी के पास शुफ़आ की तस्लीम करदी या यह इक़रार किया कि मेरे मुवक्किल ने तस्लीम करदी है इससे भी शुफ़आ बातिल हो जायेगा और अगर यह तस्लीम या इक़रारे तस्लीम क़ाज़ी के पास न हो तो शुफ़आ बातिल नहीं होगा मगर यह वकील वकालत से ख़ारिज होजायेगा।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.3:– जिस शख़्स के लिये तस्लीम का हक़ है उसका सुकूत भी शुफ़आ को बातिल कर देता है मस्लन बाप या वसी का ख़ामोश रहना भी मुब्तिल (बातिल करने वाला) है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.4:– मुश्तरी ने शफ़ीअ़ को कुछ देकर मुसालहत करली कि शुफ़आ न करे यह सुलह भी बातिल है कि जो कुछ देना क़रार पाया है रिश्वत है और उस सुलह की वजह से शुफ़आ भी बातिल होगया यूंही अगर हक़्क़े शुफ़आ को माल के बदले में बैअ़ किया यह बैअ़ भी बातिल है और शुफ़आ भी बातिल होगया।(हिदाया)

मसअला.5:– शफ़ीअ़ ने मुश्तरी से यूँ मुसालहत की निस्फ़ मकान मुझे इतने में देदे यह सुलह सहीह है अगर यूँ मुसालहत की कि यह कमरा मुझे देदे उसके मुक़ाबिल में समन का जो हिस्सा है वह मैं दूँगा तो सुलह सहीह नहीं मगर शुफ़आ भी साक़ित न होगा।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.6:– शफ़ीअ़ ने मुश्तरी से उस जायदाद का नर्ख़ चुकाया यह कहा कि मेरे हाथ बैअ़ तौलिया करो या इजारे पर लिया या मुश्तरी से कहा मेरे पास वदीअ़त रखदो या मेरे लिये वदीअ़त रखदो या मेरे लिये उसकी वसियत करदो या मुझे सदक़ा के तौर पर देदो इन सब सूरतों में शुफ़आ की तस्लीम है। (आलमगीरी)

मसअला.7:– हिबा ब'शर्तिल'एवज़ में बाद तक़ाबुज़े बदलैन (दोनों तरफ़ माल व कीमत पर क़ब्ज़ा हो जाने के बाद (अमीनुल क़ादरी)) शफ़ीअ़ ने शुफ़आ की तस्लीम की उसके बाद उन दोनों ने यह इक़रार किया कि हमने उस एवज़ के मुक़ाबिल में बैअ़ की थी अब शफ़ीअ़ को शुफ़आ का हक़ नहीं है और अगर हिबा बिग़ैर एवज़ में बादे तस्लीम शुफ़आ उन दोनों ने हिबा ब'शर्तिलएवज़ या बैअ़ का इक़रार किया तो शुफ़आ कर सकता है।(आलमगीरी)

मसअला.8:– शुफ़आ के फ़ैसले से पहले शफ़ीअ़ मरगया शुफ़आ बातिल होगया यानी उसमें मीरास् नहीं होगी कि वह मरगया तो उसका वारिस् उसके क़ाइम मक़ाम होकर शुफ़आ करे और फ़ैसले के बाद शफ़ीअ का इन्तिक़ाल हुआ तो शुफ़आ बातिल नहीं हुआ।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– मुश्तरी या बाइअ् की मौत से शुफ़आ बातिल नहीं होता बल्कि शफ़ीअ् उनके वारिसों से मुतालबा करेगा कि यह उनके क़ाइम मक़ाम हैं और मुश्तरी के ज़िम्मे अगर दैन है तो उसकी अदा के लिये यह जायदाद नहीं बेची जायेगी। क़ाज़ी या वसी ने बैअ् करदी हो तो शफ़ीअ् उस बैअ् को बातिल कर देगा और अगर मुश्तरी ने यह वसियत की है कि फ़ुलाँ को दी जाये तो यह वसियत भी शफ़ीअ् बातिल कर देगा।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.10:– जिस जायदाद के ज़रीआ से शुफ़आ करता है क़ब्ले फ़ैसला शफ़ीअ् ने वह जायदाद बैअ् करदी हक़्क़े शुफ़आ बातिल होगया अगर्चे उस जायदाद की बैअ् का उसे इल्म न था जिस पर शुफ़आ करता यूंही अगर उसको मस्जिद या मक़बरा कर दिया या किसी दूसरी तरह वक़्फ़ कर दिया अब शुफ़आ नहीं कर सकता और अगर उस जायदाद को बैअ् कर दिया मगर अपने लिये ख़ियारे शर्त रखा है तो जब तक ख़ियार साक़ित न हो शुफ़आ बातिल नहीं होगा।(हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– शफ़ीअ़ ने अपनी पूरी जायदाद नहीं फ़रोख़्त की है बल्कि आधी या तिहाई बेची अल ग़र्ज़ कुछ बाक़ी है तो शुफ़आ का हक़ ब'दस्तूर क़ाइम है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– शफ़ीअ् ने मुश्तरी से वह जायदाद ख़रीदली उस का शुफ़आ बातिल होगया दूसरा शख़्स जो उसकी बराबर का है यानी मसलन यह भी शरीक है वह भी शरीक है या उनसे कम दर्जा का है यानी यह शरीक है वह पड़ोसी है यह शुफ़आ कर सकता है और इख़्तियार है कि पहली बैअ् के लिहाज़ से शुफ़आ करे या दूसरी मबीअ् जो मुश्तरी व शफ़ीअ् के माबैन हुई है उस के लिहाज़ से शुफ़आ करे।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.13:– शफ़ीअ् ने ज़मान दर्क किया यानी मुश्तरी को अन्देशा था कि अगर उस जायदाद का कोई दूसरा मालिक निकल आया तो जायदाद हाथ से निकल जायेगी और बाइअ् से समन की वसूल की क्या सूरत होगी शफ़ीअ् ने ज़मानत करली शुफ़आ बातिल होगया।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.14:– बाइअ् ने शफ़ीअ् को बैअ् का वकील किया उसी वकील ने बैअ् की अब शुफ़आ नहीं कर सकता और मुश्तरी ने किसी को मकान ख़रीदने का वकील किया था उसने ख़रीदा तो उस ख़रीदने की वजह से शुफ़आ नहीं बातिल होगा यूंही अगर बाइअ् ने बैअ् में शफ़ीअ् के लिये ख़ियारे शर्त किया कि उसे इख़्तियार है बैअ् को नाफ़िज़ करे या न करे उसने नाफ़िज़ करदी हक़्क़े शुफ़आ बातिल होगया और अगर मुश्तरी ने ऐसे शख़्स के लिये ख़ियारे शर्त किया जो शुफ़आ करेगा उसने ख़ियार साक़ित करके बैअ् को नाफ़िज़ कर दिया हक़्क़े शुफ़आ नहीं बातिल होगा।(हिदाया)

मसअ्ला.15:– शफ़ीअ् को यह ख़बर मिली थी कि मकान एक हज़ार को फ़रोख़्त हुआ है उसने तस्लीमे शुफ़आ करदी बाद में मालूम हुआ कि हज़ार से कम में फ़रोख़्त हुआ है या हज़ार रुपये में नहीं फ़रोख़्त हुआ है बल्कि उतने मन गेहूँ या जौ के बदले में फ़रोख़्त हुआ है अगर्चे उनकी क़ीमत एक हज़ार बल्कि एक हज़ार से ज़्यादा हो तो तस्लीम सहीह नहीं बल्कि शुफ़आ कर सकता है और अगर बाद में यह मालूम हुआ कि हज़ार रुपये की अशर्फ़ियों के एवज़ में फ़रोख़्त हुआ है या उरूज़ के एवज़ में फ़रोख़्त हुआ जिनकी क़ीमत एक हज़ार है तो शुफ़आ नहीं कर सकता।(हिदाया)

मसअ्ला.16:– शफ़ीअ् को यह ख़बर मिली कि समन अज़ क़बीले मकील व मौज़ून (नापने वाली और तोलने वाली चीज़ से है) फ़ुलाँ चीज़ है और तस्लीमे शुफ़आ करदी बाद को मालूम हुआ कि मकील व मौज़ून की दूसरी जिन्स समन है तो शुफ़आ कर सकता है अगर्चे उसकी क़ीमत उससे कम या ज़्यादा हो।(आलमगीरी)

मसअ्ला.17:– यह ख़बर मिली थी कि मुश्तरी ज़ैद है उसने तस्लीम करदी बाद को मालूम हुआ कि दूसरा शख़्स है तो शुफ़आ कर सकता है अगर बाद को मालूम हुआ कि ज़ैद व अम्र दोनों मुश्तरी हैं तो ज़ैद के हिस्से में नहीं कर सकता अम्र के हिस्से में कर सकता है।(हिदाया)

मसअ्ला.18:– शफ़ीअ् को ख़बर मिली थी कि निस्फ़ मकान फ़रोख़्त हुआ है उसने तस्लीमे शुफ़आ

करदी बाद में मालूम हुआ कि पूरा मकान फ़रोख़्त हुआ तो शुफ़आ कर सकता है अगर पहले यह ख़बर थी कि कुल फ़रोख़्त हुआ उसने तस्लीम करदी बाद को मालूम हुआ कि निस्फ़ फ़रोख़्त हुआ तो शुफ़आ नहीं कर सकता।(दुर्रेमुख़्तार) यह उस सूरत में है कि कुल का जो समन था उतने ही में निस्फ़ का फ़रोख़्त होना मालूम हुआ अगर यह सूरत न हो बल्कि निस्फ़ का समन कुल के समन का निस्फ़ है तो शुफ़आ कर सकता है मसलन पहले यह ख़बर मिली थी कि पूरा मकान एक हज़ार में फ़रोख़्त हुआ और अब यह मालूम हुआ कि निस्फ़ मकान पाँच सौ में फ़रोख़्त हुआ तो शुफ़आ हो सकता है पहले की तस्लीम मानेअ् (रोकने वाली) नहीं है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.19:– शफ़ीअ् ने यह दअ्वा किया कि यह मकान जो फ़रोख़्त हुआ है मेरा ही है बाइअ् का नहीं है शुफ़आ नहीं कर सकता यानी शुफ़आ बातिल होगया और अगर पहले शुफ़आ का दअ्वा किया और अब कहता है कि मेरा ही मकान है यह दअ्वा ना'मक़बूल है(ख़ानिया) और अगर यूंही कहा कि यह मकान मेरा है और मैं उसका शफ़ीअ् हूँ अगर मालिक होने की हैसियत से मिला तो मिला वरना शुफ़आ से लूँगा इसतरह कहने से न शुफ़आ बातिल हुआ न दअ्वाए मिल्क बातिल(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.20:– जिस जानिब शफ़ीअ् का मकान या ज़मीन है उस जानिब एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक हाथ छोड़कर बाक़ी मकान बेच डाला यानी जायदादे मबीआ और जायदादे शफ़ीअ् में फ़ासिला होगया अब शुफ़आ नहीं कर सकता कि दोनों में इत्तिसाल (मिला होना) ही न रहा। यूंही अगर एक हाथ की क़द्र यहाँ से वहाँ तक मुश्तरी को हिबा करदिया और क़ब्ज़ा भी देदिया उसके बाद बाक़ी जायदाद को फ़रोख़्त किया तो शुफ़आ नहीं कर सकता।(हिदाया)

मसअ्ला.21:– मकान के सौ सिहाम(हिस्सों)में से एक सिहम(हिस्सा)पहले ख़रीद लिया बाक़ी सिहाम को बाद में ख़रीदा तो पड़ोसी का शुफ़आ सिर्फ़ पहले सिहम में हो सकता है कि बाद में जो कुछ ख़रीदा है उसमें ख़ुद मुश्तरी शरीक है मुश्तरी उन तर्कीबों से शुफ़आ का हक़ बातिल कर सकता है(हिदाया)

मसअ्ला.22:– शुफ़आ साबित होजाने के बाद उस के इस्क़ात का हीला करना बिल'इत्तिफ़ाक़ मकरूह है मसलन मुश्तरी शफ़ीअ् से यह कहे कि तुम शुफ़आ करके क्या करोगे अगर तुम उसे लेना ही चाहते हो तो जितने में मैंने लिया है उतने में तुम्हारे हाथ फ़रोख़्त करूँगा शफ़ीअ् ने कह दिया हाँ या कहा मैं ख़रीद लूँगा शुफ़आ बातिल होगया या उस से किसी माल पर मुश्तरी ने मुसालहत करली शुफ़आ भी बातिल होगया और माल भी नहीं देना पड़ा।(निहाया वग़ैरहा)

मसअ्ला.23:– ऐसी तर्कीब करना कि शुफ़आ का हक़ ही न पैदा होने पाये इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नज़्दीक मकरूह है और इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह फ़रमाते हैं कि उसमें कराहत नहीं क़ौले इमाम अबूयूसुफ़ रहिम'हुल्लाहु तआला पर फ़तवा दिया जाता है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.24:– ना'बालिग़ बच्चे को भी हक़्क़े शुफ़आ हासिल होता है बल्कि जो बच्चा अभी पेट में है उसको भी यह हक़ हासिल है जब कि जायदाद की ख़रीदारी से छः माह के अन्दर पैदा होगया हो और अगर शिकम में बच्चा है और उसका बाप मरगया और यह जायदाद का वारिस हुआ और उसके बाप के मरने के बाद जायदाद फ़रोख़्त हुई तो अगर्चे वक़्ते ख़रीदारी से छः माह के बाद पैदा हुआ हो शुफ़आ का भी उसे हक़ मिलेगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.25:– ना'बालिग़ के लिये जब हक़्क़े शुफ़आ है तो उसका बाप या बाप का वसी यह न हो तो दादा फिर उसके बाद उसका वसी यह भी न हो तो क़ाज़ी ने जिसको वसी मुक़र्रर किया हो वह शुफ़आ को तलब करेगा और उनमें से कोई न हो तो यह ख़ुद बालिग़ होकर मुतालबा करेगा और अगर उनमें से कोई हो मगर उसने क़स्दन तलब न किया तो शुफ़आ का हक़ जाता रहा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.26:– बाप ने एक मकान ख़रीदा और उसका ना'बालिग़ लड़का शफ़ीअ् है और बाप ने ना'बालिग़ की तरफ़ से तलबे शुफ़आ नहीं की शुफ़आ बातिल होगया कि ख़रीदना तलबे शुफ़आ के मुनाफ़ी न था और अगर बाप ने मकान बेचा और ना'बालिग़ लड़का शफ़ीअ् है और बाप ने तलब न

की शुफ़आ बातिल न हुआ कि बैअ् करना तलबे शुफ़आ के मनाफ़ी था और इस सूरत में वह लड़का बादे बुलूग़ शुफ़आ तलब कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.27:– बाप ने मकान ग़बने फ़ाहिश के साथ ख़रीदा था इस वजह से ना'बालिग़ के लिये शुफ़आ तलब नहीं किया कि उसके माल से नुक़सान के साथ उसे लेने का हक़ न था उस सूरत में हक़्क़े शुफ़आ बातिल नहीं है वह लड़का बालिग़ होकर शुफ़आ कर सकता है।(आलमगीरी)

तक़सीम का बयान

तक़सीम का जवाज़ कुर्आन व हदीस् व इजमाअ् से साबित।

कुर्आन मजीद में फ़रमाया

﴿وَ نَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ﴾

"और उन्हें ख़बर देदो कि पानी की उन के मा'बैन तक़सीम है"

और दूसरे मक़ाम पर फ़रमाया

﴿وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى﴾

"जब तक़सीम के वक़्त रिश्ता वाले आ जायें"

और अहादीस इस बारे में बहुत हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ग़नीमतों और मीरासों की तक़सीम फ़रमाई और उसके जवाज़ पर इजमाअ् भी मुन्अक़िद है।

मसअ्ला.1:– शिरकत की सूरत में हर एक शरीक की मिल्क दूसरे की मिल्क से मुमताज़ नहीं होती और हर एक किसी मख़्सूस हिस्से से नफ़अ् पर क़ादिर नहीं होता उन हिस्सों को जुदा कर देने का नाम तक़सीम है जब शुरका में से कोई शख़्स तक़सीम की दरख़्वास्त करे तो क़ाज़ी पर लाज़िम है कि उसकी दरख़्वास्त क़बूल करे और तक़सीम करदे। (आलमगीरी, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.2:– क़ाज़ी को उसकी दरख़्वास्त क़बूल करना उस वक़्त ज़रूरी है कि तक़सीम से उस चीज़ की मन्फ़अत फ़ौत न हो यानी वह चीज़ जिस काम के लिये उर्फ़ में है वह काम तक़सीम के बाद भी उस से लिया जा सके और अगर तक़सीम से मन्फ़अत जाती रहे मसलन हम्माम को अगर तक़सीम कर दिया जाये तो हम्माम न रहेगा अगर्चे उस में दूसरे काम हो सकते हों लिहाज़ा उस की तक़सीम से मन्फ़अत फ़ौत होती है यह तक़सीम क़ाज़ी के ज़िम्मे लाज़िम नहीं जिस चीज़ में तक़सीम से मन्फ़अत फ़ौत हो उसकी तक़सीम उस वक़्त की जायेगी जब तमाम शुरका तक़सीम पर राज़ी हों।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.3:– तक़सीम में अगर्चे एक शरीक का हिस्सा दूसरे शुरका के हिस्सों से जुदा करना है मगर उस में मुबादला का पहलू भी पाया जाता है क्योंकि शिरकत की सूरत में हर जुज़ में हर एक शरीक की मिल्क है और तक़सीम से यह हुआ कि उसके हिस्से में जो उसकी मिल्क थी उसके एवज़ में उस हिस्से में जो उस की मिल्क थी हासिल करली। मिस्ली चीज़ों में जुदा करने का पहलू ग़ालिब है और क़ियमी में मुबादला का पहलू ग़ालिब।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– मकील (नाप से बिकने वाली चीज़ें) व मौज़ून (वज़न से बिकने वाली चीज़ें) और दीगर मिस्ली चीज़ों में तक़सीम के बाद एक शरीक अपना हिस्सा दूसरे की अदमे मौजूदगी (मौजूद न होने) में ले सकता है और क़ियमी चीज़ों में चूंकि मुबादला का पहलू ग़ालिब है तक़सीम के बाद एक शरीक दूसरे की अदमे मौजूदगी में नहीं ले सकता।(हिदाया)

मसअ्ला.5:– दो शख़्सों ने चीज़ ख़रीदी फिर उसको बाहम तक़सीम कर लिया अब एक शख़्स अपना हिस्सा मुराबहा के तौर पर बैअ् करना चाहता है यह नहीं कर सकता।(हिदाया)

मसअ्ला.6:– मकील या मौज़ून दो शख़्सों में मुश्तरक है उनमें एक मौजूद है दूसरा ग़ाइब है या एक बालिग़ है दूसरा ना'बालिग़ है तक़सीम के बाद उस मौजूद या बालिग़ ने अपना हिस्सा ले लिया यह तक़सीम उस वक़्त सहीह है कि दूसरे शरीक यानी ग़ाइब या ना'बालिग़ को इस का

हिस्सा पहुँच जाये और अगर उनको हिस्सा न मिला फ़र्ज़ करो कि हलाक होगया तो तक़सीम बाक़ी नहीं रहेगी टूट जायेगी यानी जो शख़्स हिस्सा ले चुका है उस हिस्से को उन दोनों के मा'बैन फिर तक़सीम किया जायेगा।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– ग़ैर मिस्ली चीज़ें अगर एक ही जिन्स की हों और एक शरीक ने तक़सीम का मुतालबा किया तो दूसरा शरीक तक़सीम पर मजबूर किया जायेगा यह नहीं ख़्याल किया जायेगा कि यह मुबादला है उस में रज़ा'मन्दी ज़रूरी है अलबत्ता शिरकत की लौन्डी गुलाम में जब्रियाह तक़सीम नहीं है।(हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– बेहतर यह है कि तक़सीम के लिये कोई शख़्स हुकूमत की जानिब से मुक़र्रर कर दिया जाये जिसको बैतुल'माल से वज़ीफ़ा दिया जाये और अगर बैतुल'माल से वज़ीफ़ा न दिया जाये बल्कि उस की मुनासिब उजरत शुरका के ज़िम्मे डालदी जाये यह भी जाइज़ है।(हिदाया)

मसअ्ला.9:– बांटने वाले की उजरत तमाम शुरका पर बराबर बराबर डाली जाये उनके हिस्सों के कम ज़्यादा होने का एअ्तिबार न होगा एक शख़्स की एक तिहाई है दूसरे की दो तिहाईयाँ दोनों के ज़िम्मे उजरत तक़सीम यकसां होगी कोई फ़र्क़ नहीं किया जायेगा। दूसरे मवाक़ेअ् पर मुश्तरक चीज़ में काम करने वाले की उजरत हर एक शरीक पर बक़द्र हिस्सा है मसलन मुश्तरक ग़ल्ला के नापने या किसी चीज़ के तोलने की उजरत या मुश्तरक दीवार बनाने या उसमें कहगुल (भुस मिली हुई मिट्टी का पलास्तर) करने की उजरत या मुश्तरक नहर खोदने या उसमें से मिट्टी निकालने की उजरत सब शुरका के ज़िम्मे बराबर नहीं बल्कि हर एक का जितना हिस्सा है उसी मुनासिबत से सब को उजरत देनी होगी।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– तक़सीम करने के लिये ऐसा शख़्स मुक़र्रर किया जाये जो आदिल हो अमीन हो और तक़सीम करना जानता हो बद दियानत या अनाड़ी को यह काम न सिपुर्द किया जाये।(हिदाया)

मसअ्ला.11:– एक ही शख़्स उस काम के लिये मुअय्यन न किया जाये यानी लोगों को उस पर मजबूर न किया जाये कि उसी से तक़सीम करायें कि उस सूरत में वह जो चाहेगा उजरत ले लिया करेगा और वाजिबी उजरत से ज़्यादा लोगों से वसूल कर लिया करेगा और ऐसा भी मौक़ा न दिया जाये कि तक़सीम कुनन्दगान बाहम शिरकत करलें कि जो कुछ उस तक़सीम के ज़रीआ से हासिल करेंगे सब बांट लेंगे कि उस में भी वही अन्देशा है कि इत्तिफ़ाक़ करके यह लोग उजरत में इज़ाफ़ा कर देंगे।(हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– शुरका ने बाहम रज़ा'मन्दी के साथ ख़ुद ही तक़सीम करली यह तक़सीम सहीह व लाज़िम है हाँ अगर उनमें कोई ना'बालिग़ या मजनून है जिसका कोई क़ाइम मक़ाम न हो या कोई शरीक ग़ाइब है और उसका कोई वकील भी नहीं है जिसकी मौजूदगी में तक़सीम हो तो यह उस वक़्त लाज़िम होगी कि क़ाज़ी उसे जाइज़ करदे या वह ग़ाइब हाज़िर होकर या ना'बालिग़, बालिग़ होकर या उसका वली उस तक़सीम को जाइज़ करदे यह तमाम अहकाम उस वक़्त हैं कि मीरास् में उनकी शिरकत हो।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.13:– जायदादे मन्कूला में चन्द अशख़ास शरीक हैं वह कहते हैं हमको यह जायदाद विरासत में मिली है या मिल्के मुतलक़ का दअ्वा करते हैं या कहते हैं हमने ख़रीदी है या और किसी सबब से सब अपनी मिल्क व शिरकत का दअ्वा करते हैं यह लोग तक़सीम कराना चाहते हैं महज़ उनके कहने पर तक़सीम करदी जायेगी उनसे ख़रीदारी वग़ैरा के गवाह का मुतालबा नहीं होगा यूंहीं जायदादे ग़ैर'मन्कूला के मुतअ़ल्लिक़ अगर यह लोग ख़रीदना बताते हैं या मिल्के मुतलक़ का दअ्वा करते हैं तो उसे भी तक़सीम कर दिया जायेगा।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.14:– जायदादे ग़ैर मन्कूला के मुतअ़ल्लिक़ यह कहते हैं कि यह हम को विरासत में मिली है तो तक़सीम उस वक़्त की जायेगी जब लोग यह साबित करदें कि मूरिस् मरगया और उसके वुरसा हम ही हैं हमारे सिवा कोई दूसरा वारिस् नहीं है यूंहीं अगर किसी जायदादे ग़ैर'मन्कूला की निस्बत चन्द शख़्स यह कहते हैं कि हमारे क़ब्ज़े में है और तक़सीम कराना चाहते हैं तो तक़सीम

नहीं की जायेगी जब तक यह साबित न करदें कि वह जायदाद उन्हीं की है क्योंकि हो सकता है कि उनके कब्जे में होना बतौर आरियत व इजारा हो।(दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.15:– शुरका ने मूरिस् की मौत और वुरसा की तअ्दाद को साबित कर दिया मगर उन वारिसों में कोई ना'बालिग भी है या कोई वारिस् मौजूद नहीं है गाइब है तो किसी शख्स को उस ना'बालिग या गाइब के काइम मकाम किया जायेगा जो ना'बालिग के लिये वसी और गाइब की तरफ से वकील होगा उस की मौजूदगी में तकसीम होगी।(दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.16:– एक वारिस् तन्हा हाजिर होता है और मौते मूरिस को साबित करना चाहता है तो उसके कहने पर तकसीम नहीं हो सकती जब तक कम अज़ कम दो शख्स न हों अगर्चे उनमें एक ना'बालिग हो या मूसा'लहू हो।(दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.17:– चन्द अश्खास ने शिरकत में कोई चीज खरीदी है या मीरास् के सिवा किसी दूसरे तरीका से चीजों में शिरकत है और उन शुरका में से बाज गाइब हैं तो जब तक यह हाजिर न हों तकसीम नहीं हो सकती।(दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.18:– एक वारिस् गाइब है और जायदादे मन्कूला कुल या उस का जुज उसी गाइब के कब्जे में है तो जो वुरसा हाजिर हैं वह तकसीम नहीं करा सकते यूंही अगर वारिस् ना'बालिग के कब्जे में जायदादे गैर'मन्कूला कुल या जुज है तो बिल'गैन के मुतालबा पर तकसीम नहीं हो सकती।(हिदाया)

क्या चीज़ तकसीम की जायेगी और क्या नही

मसअ्ला.1:– मुश्तरक चीज़ अगर ऐसी है कि तकसीम के बाद हर एक शरीक को जो कुछ हिस्सा मिलेगा वह काबिले इन्तिफाअ् (फ़ायदे के लायक) होगा तो एक शरीक की तलब पर तकसीम करदी जायेगी और अगर बादे तकसीम बाज़ शरीक को इतनी कलील मिलेगी कि नफअ् के काबिल न होगी और तकसीम वह शख्स चाहता है जिस का हिस्सा ज्यादा है तो तकसीम करदी जायेगी और जिसका हिस्सा इतना कम है कि बाद तकसीम काबिले नफअ् नहीं रहेगा उसकी तलब पर तकसीम नहीं होगी।(हिदाया)

मसअ्ला.2:– तकसीम के बाद हर शरीक को इतना ही हिस्सा मिलेगा जो काबिले नफअ् नहीं तो जब तक सब शुरका राज़ी न हों एक के चाहने से तकसीम नहीं होगी मस्लन दुकान दो शख्सों की शिरकत में है अगर्चे तकसीम के बाद हर एक को दुकान का इतना हिस्सा मिलता है कि जो काम उस में कर रहा था अब भी कर सकेगा तो हर एक के कहने से तकसीम करदी जायेगी और इतना हिस्सा न मिले तो तकसीम नहीं होगी जब तक दोनों राजी न हों।(हिदाया, दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.3:– एक ही जिन्स की चीज़ हो या चन्द तरह की चीजें हों मगर हर एक में तकसीम करनी हो यानी मस्लन सिर्फ गेहूँ या सिर्फ जौ हो या दोनों हों मगर दोनों में तकसीम करनी हो तो एक के कहने से काज़ी तकसीम कर देगा और अगर दो किस्म की चीजें हों मगर दोनों में तकसीम जारी न करनी हो बल्कि एक को एक चीज देदी जाये और दूसरे को दूसरी इस तरह की तकसीम बिगैर हर एक की रज़ा'मन्दी के नहीं हो सकती।(दुर्रेमुख्तार वगैरा)

मसअ्ला.4:– जवाहिर की तकसीम बिगैर रज़ा'मन्दीए शुरका नहीं हो सकती क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा तफ़ावुत(फर्क)होता है यूंही हम्माम और कुँआ और चक्की कि उन की जब्रिया(गैर रजामन्दी)तकसीम नहीं होसकती कि तकसीम के बाद वह चीज़ काबिले इन्तिफाअ्(फायदे के लायक)न रहेगी और हम्माम अगर बड़ा है कि बादे तकसीम हर एक को जो कुछ हिस्सा मिलेगा वह काम के काबिल रहेगा तो तकसीम करदिया जायेगा और अगर रज़ा'मन्दी के साथ हम्माम को तकसीम करना चाहते हैं तो तकसीम होसकती है अगर्चे तकसीम के बाद हर एक का हिस्सा हम्माम न रहे क्योंकि हो सकता है कि उन शुर्का का मकसूद ही यह है कि उसे हम्माम न रखें बल्कि किसी दूसरे काम में लायें(दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.5:– चौखट, किवाड़ और जानवर और मोती और बांस और कमान और चिराग़ यह चीज़ें अगर एक एक हों तो उनकी तकसीम नहीं होगी कि तकसीम से यह चीजें ख़राब होजायेंगी उसी

तरह हर वह चीज़ जिसकी तक़सीम में तोड़ने या फाड़ने की ज़रूरत हो तक़सीम नहीं होगी।(आलमगीरी)

मसअला.6:– कुँआ या चश्मा या नहर मुश्तरक हो शुर्का तक़सीम चाहते हों अगर इस के साथ ज़मीन नहीं है तो तक़सीम नहीं की जायेगी और अगर ज़मीन भी है तो ज़मीन की तक़सीम कर दी जाये और वह चीज़ें मुश्तरक रहें।(आलमगीरी)

मसअला.7:– किताबों को वुरसा के मा'बैन तक़सीम नहीं करेंगे कि उनमें बहुत ज़्यादा तफ़ावुत होता है बल्कि हर एक शरीक मुहायात यानी बारी मुक़र्रर करके उनसे नफ़अ़ हासिल कर सकता है और अगर रज़ा'मन्दी के तौर पर तक़सीम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मगर वह लोग अगर यह चाहते हैं कि किताबों को वर्क़ वर्क़ करके तक़सीम कर दिया जाये यानी हर एक शरीक को उसके औराक़ देदिये जायें यह नहीं किया जा सकता अगर्चे वह सब इस पर राज़ी भी हों यूंही अगर एक किताब की कई जिल्दें हों यानी सब जिल्दें मिलकर वह किताब पूरी होती हो और उन जिल्दों को तक़सीम करना चाहते हों तक़सीम नहीं की जायेगी अगर्चे वह सब रज़ा'मन्द हों। वुरसा अगर यह कहें कि किताबों की क़ीमतें लगाकर क़ीमत के लिहाज़ से शुरका पर किताबें तक़सीम करदी जायें अगर सब इस तरह तक़सीम पर राज़ी हों तक़सीम करदी जायेगी।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.8:– दो मकानों के मा'बैन एक दीवारे मुश्तरक है उसकी तक़सीम बिग़ैर दोनों की रज़ा'मन्दी के नहीं हो सकती और रज़ा'मन्द हों तो तक़सीम करदी जायेगी यानी जब कि दीवार ब'दस्तूर बाक़ी रखते हुए दोनों अपने अपने हिस्से से नफ़अ़ उठा सकें और अगर यह चाहें कि दीवार को मुन्हदिम कर के बुनियाद को तक़सीम कर दिया जाये तो अगर्चे दोनों रज़ा'मन्द हों इस तरह तक़सीम नहीं की जायेगी हाँ अगर वह खुद दीवार को गिराकर ख़ुद ही तक़सीम करना चाहते हैं तो क़ाज़ी उन्हें मनअ़ भी न करेगा।(आलमगीरी)

मसअला.9:– एक शख़्स की ज़मीन में दो शख़्सों ने मालिक ज़मीन की इजाज़त से दीवार बनाई और यह दोनों दीवार को तक़सीम करना चाहते हैं उनकी रज़ा'मन्दी से मालिक ज़मीन की अ़दम मौजूदगी में भी दीवार की तक़सीम होसकती है और अगर मालिक ज़मीन ने उन दोनों से कह दिया कि मेरी ज़मीन ख़ाली करदो तो दीवार मुन्हदिम करनी होगी और मलबा अगर क़ाबिले तक़सीम है तो तक़सीम कर दिया जायेगा।(आलमगीरी)

मसअला.10:– एक शरीक यह चाहता है कि उस मुश्तरक चीज़ को बैअ़ कर दिया जाये और दूसरा इन्कार करता है उसको बैअ़ करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.11:– दुकाने मुश्तरक क़ाबिले तक़सीम न हो एक शरीक यह कहता है कि न उसे किराये पर दूँगा न बारी मुक़र्रर करके उससे नफ़अ़ हासिल करूँगा यहाँ बारी मुक़र्रर करदी जायेगी और उससे यह कह दिया जायेगा कि तुम को इख़्तियार है अपनी बारी में दुकान को बन्द रखो या किसी काम में लाओ।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.12:– ज़राअ़त मुश्तरक है अगर दाने पड़ चुके हैं मगर अभी काटने के क़ाबिल नहीं है उस की तक़सीम नहीं होसकती जब तक खेत कट न जाये अगर्चे सब शुरका राज़ी हों। अगर खेती बिल्कुल कच्ची है यानी दाने पैदा नहीं हुए हैं और शुरका तक़सीम पर राज़ी हों तो तक़सीम हो सकती है मगर इस शर्त से कि तक़सीम के बाद हर एक अपना हिस्सा काट ले यह नहीं कि पकने तक खेत ही में छोड़ रखे।(आलमगीरी)

मसअला.13:– कपड़े का थान अपनी रज़ा'मन्दी से फाड़कर तक़सीम कर सकते हैं उसमें जबरी तक़सीम नहीं हो सकती सिला हुआ कपड़ा मसलन कुर्ता या अचकन उसकी तक़सीम नहीं हो सकती दो कपड़े मुख़्तलिफ़ क़ीमत के हों उनकी भी जबरी तक़सीम नहीं होसकती इस लिये कि जो कम दर्जा का है उसके साथ रुपया शामिल करना होगा ताकि दोनों जानिब बराबरी होजाये और यह बात बिग़ैर दोनों की रज़ा'मन्दी के हो नहीं सकती और जब दोनों राज़ी हों तो तक़सीम कर दी जायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– एक ही धात के मुख़्तलिफ़ किस्म के बर्तन मसलन देगची, लोटा, कटोरा, तश्त उन को बिगैर रज़ा'मन्दी शुरका तकसीम नहीं किया जायेगा यूंही सोने या चाँदी या पीतल या और किसी धात के ज़ेवर बिगैर रज़ा'मन्दी तकसीम नहीं होंगे अगर्चे सब ज़ेवर एक ही धात के हों और सोना चाँदी वगैरहा धातें अगर उनकी कोई चीज़ बनी हुई न हो तो उनकी तक़सीम में तमाम शुरका की रज़ा'मन्दी दरकार नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– चन्द मकानात मुश्तरक हों तो हर एक को जुदा तकसीम किया जायेगा यह नहीं किया जायेगा कि तमाम मकानात को एक चीज़ फ़र्ज करके तकसीम करें कि एक को एक मकान दे दिया जाये दूसरे को दूसरा। यह सब मकानात एक ही शहर में हों या मुख़्तलिफ़ शहरों में दोनों का एक हुक्म है। यूंही अगर चन्द क़तआते ज़मीन मुश्तरक हों तो हर क़तआ की तक़सीम जुदा न होगी। यूंही अगर मकान व दुकान व ज़मीन सब चीज़ें हों तो हर एक को अलाहिदा तक़सीम किया जाये।(हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– मुश्तरक नाली या परनाला है एक तक़सीम चाहता है दूसरा इन्कार करता है अगर उसके मकान में ऐसी जगह है कि बिगैर ज़रर नाली या परनाला होसकता है तो तक़सीम कर दें वरना नहीं।(आलमगीरी)

तरीक़ा–ए–तक़सीम

मसअ्ला.1:– तक़सीम करने वाले को यह चाहिए कि हर शरीक के सिहाम (हिस्से) जितने हों उन्हें पहले लिख ले और ज़मीन की पैमाइश करके हर शरीक के सिहाम के मुक़ाबिल में जितनी ज़मीन पड़े सहीह तौर पर काइम करले और हर हिस्से के लिए रास्ता वगैरा अलाहिदा क़ाइम करदे ताकि आइन्दा झगडे का एहतिमाल न रहे और उन हिस्सों पर एक दो तीन वगैरा नम्बर डालदे और जमीअ् शुरका (तमाम शरीकों) के नाम लिख कर कुरआ अन्दाज़ी करे जिसका नाम पहले निकले उसे पहला नम्बर जिसका नाम दूसरी मर्तबा निकले उसे नम्बर दोम देदे व अला हाज़ाल क़ियास।(हिदाया)

मसअ्ला.2:– तक़सीम में कुरआ डालना जरूरियात में नहीं बल्कि ततबीबे क़ल्ब (दिल के इत्मीनान) के लिये है कि कहीं हिस्से'दारों को यह वहम न हो कि फुलां का हिस्सा मेरे हिस्से से अच्छा है और क़स्दन ऐसा किया गया है अव्वल तो तक़सीम करने वाला हर हिस्से में मसावात (बराबरी) का ही लिहाज़ रखेगा फिर उसके बावजूद कुरआ भी डालेगा ताकि वहम ही न पैदा होसके और अगर क़ाज़ी ने बिगैर कुरआ डाले हुए खुद ही हिस्सों को नामज़द कर दिया कि यह तुम्हारा है और यह तुम्हारा उस में भी हरज नहीं कि काज़ी के फ़ैसले से इन्कार की गुन्जाइश नहीं।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.3:– क़ाज़ी या नाइब काज़ी ने तकसीम की हो और कुरआ डाला और बाज़ के नाम निकल आये तो किसी शरीक को इन्कार की गुन्जाइश नहीं जिस तरह नाम निकलने से पहले उसे इन्कार का हक़ न था अब भी नहीं है। और अगर बाहम रज़ा'मन्दी से तक़सीम कर रहे हों और कुरआ डाला गया बाज़ नाम निकल आये तो बाज शुरका का इन्कार कर सकते हैं और अगर सब शुरका के नाम निकल आये या सिर्फ़ एक ही नाम बाक़ी रहगया तो क़िस्मत (बटवारा) मुकम्मल हो गई। अब रज़ा'मन्दी की सूरत में इन्कार की गुन्जाइश बाक़ी नहीं।(रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.4:– मकान की तक़सीम में जब ज़मीन की पैमाइश करके हिस्से क़ाइम करेगा इमारत की क़ीमत लगायेगा क्योंकि आगे चलकर उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी मस्लन किसी के हिस्से में अच्छी इमारत आई और किसी के हिस्से में खराब तो बिगैर क़ीमत मालूम किये क्योंकर मसावात क़ाइम रहेगी।(हिदाया)

मसअ्ला.5:– अगर ज़मीन व इमारत दोनों की तक़सीम मन्जूर है और इमारत कुछ अच्छी है कुछ बुरी या एक तरफ इमारत ज़ाइद है और एक तरफ़ कम और एक को अच्छी या ज़्यादा इमारत मिले तो दूसरे को जमीन ज़्यादा देकर वह कमी पूरी करदी जाये और अगर ज़मीन ज़्यादा देने में कमी

पूरी न हो कि एक तरफ की इमारत ऐसी अच्छी या इतनी ज्यादा है कि बकिया कुल ज़मीन देने से भी कमी पूरी नहीं होती तो यह कमी रुपये से पूरी की जाये।(हिदाया)

मसअला.6:– मकान की तक़सीम में एक का परनाला या रास्ता दूसरे के हिस्से में होगा जब तो उस तक़सीम को ब'दस्तूर बाकी रखा जायेगा और शर्त न हो तो दो सूरतें हैं उस हिस्से का रास्ता वगैरा फेर कर दूसरा किया जा सकता है या नहीं अगर मुम्किन हो तो रास्ता वगैरा फेर कर दूसरा करदिया जाये और ना'मुम्किन हो तो उस तक़सीम को तोड़कर अज़ सरे नो तक़सीम की जाये(हिदाया)

मसअला.7:– अगर शुरका में इख़्तिलाफ़ है बाज़ यह कहते हैं कि रास्ते को तक़सीम में न लिया जाये बल्कि जिस तरह पहले पूरे मकान का एक रास्ता था अब भी रहे और मकान का ऐसा मौका है कि हर हिस्से का जुदागाना रास्ता हो सकता है यानी जदीद दरवाज़ा खोलकर आमद व रफ़्त हो सकती है तो उस शरीक का कहना माना जा सकता है और अगर यह बात ना'मुम्किन है तो उसका कहना नहीं माना जायेगा।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.8:– रास्ते की चौड़ाई और ऊँचाई में इख़्तिलाफ़ हो तो सदर दरवाज़ा की चौड़ाई की बराबर रास्ते की चौड़ाई रखी जाये और उसकी बलन्दी की बराबर रास्ते की बलन्दी रखी जाये यानी उस बलन्दी से ऊपर अगर कोई अपनी दीवार में छज्जा निकालना चाहता है निकाल सकता है और उस से नीचे नहीं निकाल सकता इनाया।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.9:– मकान तक़सीम में अगर यह शर्त हो कि रास्ते की मिक़दारें मुख़्तलिफ़ होंगी अगर्चे शुरका के हिस्से उस मकान में बराबर–बराबर हों यह जाइज़ है जबकि यह तक़सीम आपस की रज़ा'मन्दी से हो कि गैर अम्वाले रिबविया (वह माल जिस में कमी बेशी करने से सूद नहीं होता) में रज़ा'मन्दी के साथ कमी बेशी हो सकती है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.10:– दो मन्ज़िला मकान है उसमें चन्द सूरतें हैं पूरा मकान यानी दोनों मन्ज़िलें मुश्तरक हैं या सिर्फ़ नीचे की मन्ज़िल मुश्तरक है या सिर्फ़ बाला ख़ाना मुश्तरक है उसकी तक़सीम में हर एक की क़ीमत लगाई जाये और क़ीमत के लिहाज़ से तक़सीम होगी।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.11:– ज़मीने मुश्तरक में दरख़्त और ज़राअत थी सिर्फ़ ज़मीन की तक़सीम हुई तो जिस के हिस्से में दरख़्त या ज़राअत पड़ी वह क़ीमत देकर उस का मालिक होगा।(आलमगीरी)

मसअला.12:– भूसे की तक़सीम गठरियों से हो सकती है वज़न के साथ होना ज़रूरी नहीं।(आलमगीरी)

मसअला.13:– एक शख़्स की दो रोटियाँ हैं और एक की तीन रोटियाँ दोनों ने एक साथ बैठ कर खाना चाहा एक तीसरा शख़्स आगया उसे दोनों ने खाने में शरीक कर लिया और तीनों ने बराबर बराबर खाया उसने खाने के बाद पाँच रुपये दिये और यह कहा कि जितनी मैंने तुम्हारी रोटी खाई उसी हिसाब से रुपये बांट लो तो जिसकी दो थीं उसे एक रुपया मिलेगा और जिसकी तीन थीं उसे चार। (आलमगीरी)

तक़सीम में ग़लती का दावा

मसअला.14:– तक़सीम होने के बाद एक शरीक यह कहता है कि मेरा हिस्सा मुझे नहीं मिला और तक़सीम करने वालों ने गवाही दी कि उसने अपना हिस्सा वसूल पा लिया यह गवाही मक़बूल है और फ़क़त एक तक़सीम करने वाले ने शहादत दी तो गवाही मक़बूल नहीं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.15:– तक़सीम के बाद एक शरीक यह कहता है फुलां चीज़ मेरे हिस्से में थी और ग़लती से दूसरे के पास पहुँच गई और उस से पहले यह इक़रार कर चुका था कि मैंने अपना हिस्सा वसूल पा लिया या वसूल पाने का इक़रार न किया हो दोनों सूरतों में उस की बात जब ही मानी जायेगी कि उस के क़ौल के सहीह होने पर दलील हो यानी गवाहों से ऐसा साबित करदे या दूसरा शरीक इक़रार करले कि हाँ उस के हिस्से की फुलां चीज़ मेरे पास है और यह दोनों बातें न हों तो उसके शरीक पर क़सम दी जाये और वह क़स्म खाने से नुकूल करे।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– तक़सीम के बाद कहता है कि मुझे मेरा हिस्सा मिल गया था और मैंने क़ब्ज़ा भी कर लिया था फिर मेरे शरीक ने उस में से फुलाँ चीज़ लेली और शरीक उससे इन्कार करता है उसका हासिल यह हुआ कि शरीक पर ग़सब का दअ्वा करता है और वह इन्कार करता है अगर उस के पास गवाह न हों तो शरीक पर ह़ल्फ़ रखा जाये और अगर वसूल पाने का इक़रार नहीं किया है सिर्फ़ इतनी बात कही है कि यहाँ से यहाँ तक मेरे हिस्से में आई मगर मुझे दी नहीं और शरीक इस की तकज़ीब (झुटलाता है) करता है तो दोनों को ह़ल्फ़ दिया जाये और दोनों क़सम खा जाये तो तक़सीम फ़स्ख़ करदी जाये।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– मकान दो शख़्सों में मुश्तरक था दोनों ने उसे बांट लिया फिर एक यह दअ्वा करता है कि यह कमरा जो मेरे शरीक के पास है यह मेरे हिस्से का है और दूसरा उससे इन्कारी है तो मुद्दई के ज़िम्मे गवाह पेश करना है और अगर दोनों ने गवाह पेश किये तो मुद्दई के गवाह मक़बूल होंगे और अगर क़ब्ज़ा करने पर गवाह न किये हों तो दोनों पर ह़ल्फ़ है और इस सूरत में अगर दोनों ने क़स्में खा लीं तो तक़सीम फ़स्ख़ करदी जायेगी। इसी त़रह़ अगर हुदूद में इख़्तिलाफ़ हो मस्लन एक यह कहता है कि यह ह़द मेरी थी जो उसके हिस्से में जा पड़ी और दूसरा भी यही कहता है कि यह ह़द मेरी थी जो उसके हिस्से में चली गई अगर दोनों गवाह पेश करें तो हर एक के गवाह उसके ह़क़ में मोअ्तबर हैं जो उसके क़ब्ज़े में न हो और अगर फ़क़त़ एक ने गवाह पेश किये तो उसी के मुवाफ़िक़ फ़ैसला होगा और किसी ने भी गवाह नहीं पेश किये तो दोनों पर ह़ल्फ़ है।(हिदाया)

मसअ्ला.18:– तक़सीम में चीज़ों की क़ीमतें लगाई गईं अब मा़लूम हुआ कि क़ीमतों में बहुत फ़र्क़ है जिस को ग़ब्ने फ़ाहिश कहते हैं या़नी उतनी कमी या बेशी है जो अन्दाज़े से बाहर है मस्लन जिस चीज़ की क़ीमत पाँच सौ है उसकी हज़ार रुपये क़ीमत क़रार दी यह तक़सीम तोड़दी जायेगी। क़ाज़ी ने उसके मुतअ़ल्लिक़ फ़ैसला किया हो या दोनों की रज़ा'मन्दी से तक़सीम हुई हो बहर सूरत तोड़ दी जाये।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.19:– दो शख़्सों की सौ बकरियाँ थीं तक़सीम के बा़द एक यह कहता है ग़लती से तुमने पचपन बकरियाँ लेलीं और मुझे पैंतालीस ही मिलीं दूसरा कहता है ग़लती से नहीं बल्कि तक़सीम इसी त़रह़ हुई और गवाह किसी के पास न हों तो दोनों पर ह़ल्फ़ है यह उस वक़्त है कि उसने अपना पूरा ह़क़ पालने का इक़रार न किया हो और अगर इक़रार कर चुका हो तो ग़लती का दअ्वा ना'मसमूअ़ है।(आलमगीरी)

इस्तिहक़ाक़ के मसाइल

मसअ्ला.20:– तक़सीम होजाने के बाद इस्तिहक़ाक़ हुआ या़नी किसी दूसरे शख़्स ने उसमें अपनी मिल्क का दअ्वा किया उस की तीन सूरतें हैं एक के हिस्से में जुज़ व मुअ़य्यन का दअ्वा करना है कि यह चीज़ मेरी है या जुज़ व शाइअ़ का दअ्वा करता है कि उसके हिस्से में निस्फ़ या तिहाई मेरी है या कुल में जुज़ व शाइअ़ का मुद्दई है या़नी पूरी जायदाद में मस्लन निस्फ़ या तिहाई का मुद्दई है। पहली सूरत में कि फ़क़त़ एक के हिस्से में जुज़वे मुअ़य्यन का इस्तिहक़ाक़ करता है उस में तक़सीम को फ़स्ख़ नहीं किया जायेगा बल्कि मुस्तहिक़ ने जितना अपना हक़ साबित कर दिया उस को देदिया जाये और मा'बक़िय उस का है जिस के हिस्से में था और उसके हिस्से में जो कमी पड़ी उसे शरीक के हिस्से में से उतनी दिलादी जाये कि उस का हिस्सा सिहाम के मुवाफ़िक़ हो जाये दूसरी सूरत में कि एक के हिस्से में जुज़ व शाइअ़ का मुद्दई है उस में हिस्से वाले को इख़्तियार है कि मुस्तहक़ को देने के बा़द जो कमी पड़ती है वह शरीक के हिस्से में से लेले या तक़सीम तुड़वाकर अज़ सरे नो तक़सीम कराये। यह उस सूरत में है कि इस्तिहक़ाक़ से पहले उस में का कुछ बैअ़ न किया हो वरना तक़सीम नहीं तोड़ी जायेगी बल्कि अपने हिस्से की क़द्र शरीक के हिस्से में से ले सकता है व बस। तीसरी सूरत में कि कुल में जुज़ व शाइअ़ का मुद्दई है तक़सीम फ़स्ख़ करदी जाये और उन तीनों या़नी मुस्तहक़ और दोनों शरीकों के मा'बैन अज़ सरे

नो (नये सिरे से) तक़सीम की जायेगी।(हिदाया)

मसअ्ला.21:– इस्तिहक़ाक़ की एक चौथी सूरत भी है वह यह कि हर एक के हिस्से में मुस्तहक़ ने अपना हिस्सा साबित कर दिया उसकी दो सूरतें हैं एक यह कि हर एक के हिस्से में उसने जुज़ व शाइअ् साबित किया उस का हुक्म यह है कि तक़सीम फ़स्ख़ करदी जाये दूसरी सूरत यह है कि दोनों में जुज़्वे मुअ़य्यन साबित करे उस का हुक्म यह है कि दोनों के हिस्सों में उसका जो कुछ है अगर बराबर है जब तो ज़ाहिर है कि मुस्तहक़ के लिये लेने के बाद हर एक के पास जो कुछ बचा वह बक़द्र हिस्सा है लिहाज़ा न तक़सीम तोड़ी जायेगी न रुजूअ् का हुक्म दिया जायेगा और अगर मुस्तहक़ का हक़ एक के हिस्से में ज़ाइद है दूसरे के हिस्से में कम तो उस ज़ाइद की ज़्यादती का एअ्तिबार होगा कि उसी के हिसाब से कम वाले के हिस्से में रुजूअ् करेगा।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.22:– सौ बकरियाँ दो शख़्सों में मुश्तरक थीं तक़सीम इस तरह हुई कि एक को चालीस बकरियाँ मिलीं जिन की क़ीमत पाँच सौ है और दूसरे को साठ बकरियाँ दी गईं यह भी पाँच सौ की क़ीमत की हैं चालीस वाले की एक बकरी में किसी ने अपना हक़ साबित किया कि यह मेरी है और यह बकरी दस रुपये क़ीमत की है तो यह शख़्स दूसरे से पाँच रुपये वसूल कर सकता है(आलमगीरी)

मसअ्ला.23:– मकान या ज़मीने मुश्तरक का बंटवारा हुआ एक ने दूसरे के हिस्से में एक कमरे का दअ्वा किया कि यह मेरा है मैंने उसे बनाया है या यह दरख़्त मेरा है मैंने उसे लगाया है और अपनी उस बात पर गवाह पेश करता है यह गवाह ना'मक़बूल हैं कि इमारत या दरख़्त ज़मीन की तक़सीम में तब्अ़न दाख़िल होगये। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.24:– दरख़्त या इमारत की तक़सीम हुई उसके बाद एक ने पूरी ज़मीन का या उसके जुज़ का दअ्वा किया यह दअ्वा जाइज़ व मसमूअ् है क्योंकि हो सकता है कि दरख़्त या इमारत मुश्तरक हो और ज़मीन मुश्तरक न हो और ज़मीन तवाबेअ् में भी नहीं कि तक़सीम में तबअ़न दाख़िल होजाये।(रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.25:– एक के हिस्से में जो दरख़्त मिला उसकी शाख़ें दूसरे के हिस्से में लटक रही हैं उन शाख़ों को यह शख़्स जबरन नहीं कटवा सकता उसी तरह मकान की तक़सीम में जो दीवार एक के हिस्से में पड़ी उस पर दूसरे की कड़ियाँ हैं तो दूसरे को यह हुक्म नहीं दिया जायेगा कि अपनी कड़ियाँ उठाले मगर जब कि तक़सीम में यह शर्त होचुकी हो कि वह अपनी कड़ियाँ उठा लेगा(आलमगीरी)

मसअ्ला.26:– ज़मीने मुश्तरक में एक शरीक ने बिग़ैर इजाज़त शरीक मकान बना लिया दूसरा यह कहता है कि उस इमारत को हटालो तो इस सूरत में ज़मीन को तक़सीम कर दिया जाये अगर यह इमारत उसी के हिस्से में पड़ी जिसने बनाई है फ़बिहा और अगर दूसरे के हिस्से में पड़ी तो हो सकता है कि इमारत की क़ीमत देकर इमारत ख़ुद लेले या उसको मुन्हदिम करा दिया जाये ज़मीने मुश्तरक में एक ने दरख़्त लगाया उसका भी वही हुक्म है। और अगर शरीक की इजाज़त से मकान बनवाया या पेड़ लगाये अगर अपने लिये यह तामीर की है या पेड़ लगाया है उसका भी वही हुक्म है क्योंकि मुईर को इख़्तियार होता है कि आरियत को जब चाहे वापस ले सकता है और अगर इजाज़त इस लिये है कि वह इमारत या दरख़्त शिरकत का होगा तो बक़द्र हिस्सा उस से मसारिफ़ वसूल कर सकता है।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.27:– तर्का की तक़सीम के बाद मालूम हुआ कि मय्यित के ज़िम्मे दैन है तो तक़सीम तोड़ दी जायेगी क्योंकि अगर दैन पूरे तर्का की बराबर है जब तो ज़ाहिर है कि यह तर्का वारिसों की मिल्क ही नहीं तक़सीम क्योंकर करेंगे और अगर दैन पूरे तर्का से कम है जब भी तोड़ी जाये कि तर्का के साथ दूसरों का हक़ मुतअ़ल्लिक़ है हाँ अगर मय्यित का मतरुका उसके इलावा भी है जिस से दैन अदा किया जा सकता है तो जो कुछ मुन्क़सिम हो चुका है उसकी तक़सीम बाक़ी रहेगी। अगर दैन पूरे तर्का के बराबर था मगर जिनका था उन्होंने मुआफ़ करदिया या वारिसों ने अपने माल

से दैन अदा कर दिया तो उन सूरतों में तक़सीम न तोड़ी जाये कि वह सबब ही बाक़ी न रहा(हिदाया)

मसअ्ला.28:– जिन दो शख़्सों ने तक़सीम की उन में एक ने यह दअ्वा किया कि तर्का में दैन है उस का यह दअ्वा मस्मूअ् होगा तनाकुज़ क़रार देकर दअ्वे को रद न किया जाये। हाँ जिन चीज़ों की तक़सीम हुई उन में से किसी मुअय्यन चीज़ का दअ्वा करता है यह मय्यित की मतरुका नहीं है बल्कि मेरी है और उसका सबब कुछ भी बताये मस्लन मैंने मय्यित से ख़रीदी है या उसने हिबा की बहर हाल यह दअ्वा ना'मसमूअ् है कि उस चीज़ को तक़सीम में दाख़िल करना यह मुश्तरक होने का इक़रार है फिर अपनी बताना उस के मुनाफ़ी है लिहाज़ा यह दअ्वा क़ाबिले समाअ्त नहीं।(हिदाया)

मसअ्ला.29:– एक शख़्स मरा और उसने किसी को वसी मुक़र्रर किया है और तर्का में दैन ग़ैर मुस्तग़रक़ है वसी से वुरसा यह कहते है कि तर्का में से बक़द्र दैन जुदा करके बाक़ी को उनमें तक़सीम करदे वसी को यह इख़्तियार है कि तक़सीम न करे बल्कि बक़द्र दैन शाइअ् फ़रोख़्त करदे(आलमगीरी)

मसअ्ला.30:– मय्यित ने दो शख़्सों को वसी किया है दोनों ने माल को तक़सीम कर के बाज़ वुरसा का माल एक ने रखा और बाज़ का दूसरे ने यह जाइज़ नहीं यूहीं एक वसी की अदम मौजूदगी में दूसरे ने वुरसा की मुक़ाबिल में तक़सीम की यह भी ना'जाइज़ है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.31:– वुरसा मुसलमान हैं और वसी काफ़िरे ज़िम्मी अगर्चे उसका वसी होना ना'जाइज़ है मगर उसको वसियत से ख़ारिज कर देना चाहिए क्योंकि काफ़िर की जानिब से उसका इत्मीनान नहीं है कि वह मुसलमान के साथ ख़ियानत न करेगा बल्कि मुसलमान के साथ उसकी मज़हबी अ़दावत बहुत मुम्किन है कि ख़ियानत पर आमादा करे मगर जुदा करने से पहले उसने तक़सीम की हो तो यह तक़सीम सहीह है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.32:– एक वारिस् ने मय्यित के ज़िम्मे दैन का इक़रार किया दूसरे वुरसा इन्कार करते हैं तर्का वुरसा पर तक़सीम कर दिया जाये जिसने इक़रार किया है उस के हिस्से से दैन अदा किया जाये।(ख़ानिया)

मसअ्ला.33:– मय्यित के ज़िम्मे दैन था वुरसा ने जायदाद तक़सीम करली जिस का दैन है वह मुतालबा करता है तो तक़सीम तोड़ी जा सकती है दैन मुस्तग़रक़ हो या ग़ैर मुस्तग़रक़ (यानी इतना क़र्ज़ हो कि माल के बराबर हो या ज्यादा, या इतना न हो (अमीनुल क़ादरी)) और अगर क़ाज़ी के पास तक़सीम की दरख़्वास्त करें और क़ाज़ी को मा'लूम है कि मय्यित पर दैन है अगर वह दैन मुस्तग़रक़ है तो क़ाज़ी तक़सीम का हुक्म नहीं देगा कि उन लोगों का तर्का में हक़ ही नहीं है और अगर दैन ग़ैर मुस्तग़रक़ है तो बक़द्र दैन अलग कर के बाक़ी को तक़सीम करदे।(आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– क़ाज़ी के पास तक़सीम की दरख़्वास्त गुज़री और क़ाज़ी को मा'लूम नहीं कि मय्यित के ज़िम्मे दैन है तो वुरसा से दरयाफ़्त करे अगर वह कहें नहीं है तो उनकी बात मान ली जायेगी और अगर कहें दैन है तो उसकी मिक़दार दरयाफ़्त करे फिर यह दरयाफ़्त करे कि मय्यित ने कोई वसियत की है या नहीं अगर वसियत की है तो किसी मुअय्यन चीज़ की वसियत है या वसियते मुरसला है यानी अपने माल की तिहाई चौथाई वग़ैरा की है किसी मुअय्यन चीज़ से तअ़ल्लुक़ नहीं है उसके बाद तक़सीम कर देगा और अगर तक़सीम के बाद दैन ज़ाहिर हो तो तक़सीम तोड़ दी जायेगी यूहीं अगर क़ाज़ी ने दैन को बिग़ैर दरयाफ़्त किये तक़सीम करदी यह तक़सीम भी तोड़ दी जायेगी हाँ अगर वुरसा अपने माल से दैन अदा करें या जिसका दैन है वह मुआफ़ करदे तो तक़सीम न तोड़ी जाये। और तक़सीम तोड़ना उस वक़्त है कि दैन के लिये वुरसा ने कुछ तर्का जुदा न किया हो और अगर दैन के लिये पहले ही से जुदा कर दिया हो या कुल अम्वाल (बहुतसे माल) की तक़सीम ही न की हो तो तक़सीम तोड़ने की क्या ज़रूरत।(आलमगीरी)

मसअ्ला.35:– तक़सीम के बाद कोई नया वारिस् ज़ाहिर हुआ या मा'लूम हुआ कि किसी के लिये तिहाई या चौथाई की वसियत है तो तक़सीम तोड़कर अज़ सरे नो (नये सिरे से) तक़सीम की जाये अगर्चे वुरसा कहते हों कि उनके हक़ हम अपने माल से अदा करेंगे हाँ अगर यह वारिस् व मूसा'लहू

भी राज़ी होजायें तो न तोड़े और अगर दैन ज़ाहिर हो या यह कि किसी के लिये हज़ार रुपये की
मसलन वसियते मुरसला की है और वुरसा अपने माल से दैने वसियत अदा करने को कहते हैं तो
तकसीम न तोड़ी जाये दाइन और मूसा लहू की रज़ा मन्दी की भी ज़रूरत नहीं। उसी तरह अगर
एक ही वारिस् ने दैन अदा करना अपने ज़िम्मे लिया और तर्का में से रुजूअ् भी न करेगा तो तोड़ी
न जाये और अगर वापस लेने की शर्त है या उस से खामोश है तो तोड़ दी जाये मगर जबकि
बकिया वुरसा अपने माल से अदा करने को कहते हों।(आलमगीरी)

मसअ्ला.36:– बाज़ वुरसा ने मय्यित का दैन अदा कर दिया तो वह बाकियों से रुजूअ् कर सकता
है यानी जबकि मय्यित ने तर्का छोड़ा हो जिस से दैन अदा किया जासके अदा करने के वक्त उसने
रुजूअ की शर्त की हो या न की हो दोनों का एक हुक्म है क्योंकि हर वारिस् से दैन का मुतालबा
किया जा सकता है और एक ही वारिस् को दाइन ने काज़ी के पास पेश किया तो तन्हा उसी पर
पूरे दैन का फैसला हो सकता है लिहाजा यह वारिस अदा–ए–दैन में मुतबर्रेअ् (यानी दूसरे वारिसों से [illegible]
[illegible] कर सकता है) न हुआ हाँ अगर मुतबर्रेअ् हो कह दिया हो कि मैं रुजूअ् न करूँगा तो अब रुजूअ्
नहीं कर सकता।(आलमगीरी)

मसअ्ला.37:– मय्यित का तर्का वुरसा ने तकसीम किया और उन वारिसों में उसकी औरत भी है
तकसीम के बाद औरत ने दैन महर का दअ्वा किया और गवाहों से साबित कर दिया तकसीम तोड़
दी जायेगी उसी तरह अगर किसी वारिस् ने तर्का में दैन का दअ्वा किया उसका दअ्वा सहीह है
उस पर गवाह लिये जायेंगे और साबित होने पर तकसीम तोड़ दी जायेगी।

मसअ्ला.38:– मय्यित का दैन दूसरों के ज़िम्मे था यह दैन व ऐन यानी जो कुछ तर्का मौजूद है
दोनों को तकसीम किया मसलन यूँ कि यह वारिस् यह चीज़ ले और यह दैन जो फुलाँ के ज़िम्मे है
और वह वारिस् यह चीज और यह दैन ले जो फुलाँ के ज़िम्मे है यह तकसीम दैन व ऐन दोनों में
बातिल और अगर अअ्यान यानी जो चीजें मौजूद हैं उनको तकसीम करे के फिर दैन की तकसीम
की तो ऐन की तकसीम सहीह है और दैन की बातिल। दैन की तकसीम बातिल होने का यह
नतीजा होगा कि एक मदयून से दैन वसूल हुआ तो वह तन्हा उसी का नहीं होगा जिसके हिस्से में
कर दिया गया था बल्कि दूसरे वुरसा भी उस में शरीक होंगे।(आलमगीरी)

मसअ्ला.39:– तीन भाई है जिनको अपने बाप से जमीन मीरास् में मिली उनमें से एक का
इन्तिकाल हुआ उसने एक लड़का छोड़ा उस लड़के और उसके दोनों चचाओं के मा'बैन जमीन
तकसीम हुई। यह लड़का तकसीम के बाद यह कहता है कि मेरे दादा ने जो मूरिसे अअ्ला था उस
ने उस में एक सुलुस् (तिहाई) की मेरे लिए वसियत की थी और तकसीम को बातिल करना चाहता है
उसकी यह बात ना मोअ्तबर है कि तनाकुज है और अगर यह कहता है कि मेरे बाप के ज़िम्मे मेरा
दैन है यह बात सुनी जायेगी और गवाह लिये जायेंगे अगर गवाहों से दैन साबित होजाये तो
तकसीम तोड़ दी जायेगी उस सूरत में चचा यह नहीं कह सकते कि दैन तुम्हारे बाप के ज़िम्मे है
उसका हिस्सा जो तुम्हें मिला तुमको इख्तियार है कि उसे दैन में फरोख्त करलो या अपने पास
रखो तुम्हारा दैन तुम्हारे दादा के ज़िम्मे नहीं कि पूरी जायदाद से दैन वसूल किया जाये लिहाजा
तकसीम के तोड़ने में कोई फायदा नहीं क्योंकि यह लड़का कह सकता है कि तकसीम तोड़ने में
फायदा यह है कि मुश्तरक चीज मे जो हिस्सा होता है उसकी कीमत कभी ज्यादा होती है और
तकसीम के बाद वह कीमत नहीं रहती लिहाजा मेरा यह फायदा न रहने की सूरत में मेरे बाप की
मालियत ज्यादा दामो मे फरोख्त होगी।(आलमगीरी)

मसअ्ला.40:– तकसीम को तोड़ा जा सकता है यानी शुर्का ने अपनी रज़ा'मन्दी से तकसीम करली
उसके बाद यह चाहते हैं कि यह चीजें शिरकत में रहें यह हो सकता है।(दुर्रेमुख्तार)

मसअ्ला.41:– महज़ तकसीम कर देने से कोई मुअय्यन हिस्सा शुर्का में से किसी खास की मिल्क

नहीं होगा बल्कि उसके लिये यह ज़रूर है कि क़ाज़ी ने मुअय्यन कर दिया हो कि यह फुलां का है और यह फुलां का या यह कि एक ने तक़सीम के बाद एक हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया तो यह उसका होगया या कुर्आ के ज़रीआ से हसस (हिस्सों) की तअ़ईन होजाये या यह कि शुर्का ने किसी को वकील कर दिया हो कि तक़सीम करके हर एक का हिस्सा मुशख़्ख़स (ख़ास) करदे और उसने मुशख़्ख़स कर दिया।(आलमगीरी)

मसअ्ला.42:– दो शख़्सों में कोई चीज़ मुश्तरक थी उन्होंने तक़सीम करली और कुर्आ डाल कर हिस्से का तअ़य्युन कर लिया उसके बाद एक शरीक उस तक़सीम पर नादिम हुआ और चाहता यह है कि तक़सीम टूट जाये यह नहीं हो सकता कि तक़सीम मुकम्मल हो चुकी यूंही अगर उन दोनों ने किसी तीसरे शख़्स को तक़सीम के लिये मुक़र्रर किया और उसने इन्साफ़ के साथ तक़सीम करके कुर्आ डाला तो जिसके नाम का जो हिस्सा कुर्आ के ज़रीआ मुतअ़य्यन हो चुका बस वही उसका मालिक है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.43:– तीन शरीकों में तक़सीम हुई और कुर्आ डाला गया अभी एक का नाम निकला है दो बाक़ी हैं तो हर एक रुजूअ़ कर सकता है और दो के नाम निकल आये तो अब कोई रुजूअ़ नहीं कर सकता और चार शरीकों में दो के नाम निकल आये तो रुजूअ़ कर सकते हैं और तीन के नाम निकलने के बाद रुजूअ़ नहीं कर सकते।(आलमगीरी)

मसअ्ला.44:– तर्का में ऊँट, गाय, बकरियाँ सब हैं एक हिस्सा ऊँटों का दूसरा गायों का तीसरा बकरियों का क़रार दिया और कुर्आ डाला गया जिसके हिस्से में जो जानवर आये लेले यह जाइज़ है और अगर यह क़रार पाया कि जिसके हिस्से में ऊँट आयेंगे वह ऊँट लेगा और इतने रुपये देगा जो उसके शरीकों को दिये जायेंगे यह भी जाइज़ है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.45:– तक़सीम में एक शरीक ने बैअ़ या हिबा या सदक़ा की शर्त की यानी इस शर्त पर तक़सीम करता हूँ कि मेरा यह मकान या मकाने मुश्तरक में जो मेरा हिस्सा है तुम ख़रीद लो या फुलाँ चीज़ मुझ को हिबा या सदक़ा करदो यह तक़सीम फ़ासिद है तक़सीम फ़ासिद में कब्ज़ा करने से मिल्क हासिल होजायेगी और तसर्रुफ़ात नाफ़िज़ होंगे।(आलमगीरी)

मसअ्ला.46:– मकाने मुश्तरक की इस तरह तक़सीम हुई कि एक शरीक पूरी ज़मीन लेगा और दूसरा सारी इमारत लेगा ज़मीन उसको बिल्कुल नहीं मिलेगी उसकी तीन सूरतें हैं एक यह कि जिसके हिस्से में इमारत आई उससे शर्त यह ठहरी है कि इमारत खोदकर निकाल लेगा यह सूरत जाइज़ है दूसरी सूरत यह कि इमारत खोदने या न खोदने का कोई ज़िक्र नहीं हुआ यह भी जाइज़ है तीसरी सूरत यह है कि इमारत बाक़ी रखने की शर्त है उस सूरत में तक़सीम फ़ासिद है(आलमगीरी)

मुहायात का बयान

मसअ्ला.1:– कभी ऐसा भी होता है कि मुश्तरक चीज़ को तक़सीम न करें उसको मुश्तरक ही रखें और हर एक शरीक नोबत और बारी के साथ उस चीज़ से नफ़अ़ उठाये उसे इस्तिलाहे फ़ुक़्हा में मुहायात और तहायू कहते हैं इस तौर पर नफ़अ़ उठाना शरअ़न जाइज़ है बल्कि अगर बाज़ शुर्का क़ाज़ी के पास उसकी दरख़्वास्त करें और दूसरे शुर्का इन्कार करें तो क़ाज़ी उनको मुहायात पर मजबूर करेगा अल्बत्ता अगर बाज़ मुहायात को चाहें और दूसरे तक़सीम कराना चाहें तो क़ाज़ी तक़सीम का हुक्म देगा कि तक़सीम का मर्तबा मुहायात से बढ़कर है।(इनाया)

मसअ्ला.2:– जो चीज़ क़ाबिले तक़सीम है उस से बतौर मुहायात दोनों नफ़अ़ उठा रहे थे फिर एक ने तक़सीम की दरख़्वास्त की तो तक़सीम करदी जायेगी और मुहायात बातिल करदी जायेगी और दोनों शरीकों में से कोई मरगया या दोनों मरगये उस से मुहायात बातिल नहीं होगी बल्कि जो मरगया उसका वारिस उसके क़ाइम मक़ाम होगा।(हिदाया)

मसअ्ला.3:– मुहायात की कई सूरतें हैं एक मकान के एक हिस्से में एक रहता है दूसरे में दूसरा

या एक बालाख़ाना पर रहता है दूसरा नीचे की मन्ज़िल में या एक महीने में एक रहेगा दूसरे महीने में दूसरा या दो मकान हैं एक में एक रहेगा दूसरे में दूसरा या गुलाम से एक दिन एक शख़्स काम करायेगा दूसरे दिन दूसरा या दो गुलाम हैं एक से एक ख़िदमत लेगा दूसरे से दूसरा या मकान को किराये पर देदिया एक माह का किराया एक लेगा दूसरे महीने का दूसरा या दो मकान हैं एक का किराया एक लेगा दूसरे का दूसरा यह सब सूरतें जाइज़ हैं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– मुहायात के तौर पर जो चीज़ उसके हिस्से में आई यह उस चीज़ को किराये पर भी दे सकता है मस्लन उस मकान में उसको रहना ही ज़रुरी नहीं बल्कि किराये पर उठा सकता है अगर्चे मुहायात के वक़्त यह शर्त उसने ज़िक्र नहीं की हो कि मैं उसको किराये पर भी दे सकूँगा।(हिदाया)

मसअ्ला.5:– गुलामों से ख़िदमत लेने में यह तै हुआ कि जो गुलाम जिसकी ख़िदमत करेगा उस का नफ़ा उसी के ज़िम्मे है यह जाइज़ है बल्कि अगर नफ़ा का ज़िक्र नहीं आया जब भी उसी के ज़िम्मे है जिसकी ख़िदमत करता है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– मकाने मुश्तरक को किराये पर दिया गया और यह ठहरा है कि बारी बारी दोनों किराया वसूल करेंगे अब इस का किराया ज़्यादा होगया तो जिसकी बारी में किराये की ज़्यादती हुई है तन्हा यही उस का मुस्तहक़ नहीं बल्कि उस ज़्यादती के दोनों हक़दार हैं और अगर दो मकान थे एक का किराया एक को लेना था दूसरे का दूसरे को और एक मकान के किराये में इज़ाफ़ा हुआ तो जो उस का किराया लेता था यह ज़्यादती तन्हा उसी की है दूसरा उसमें से मुतालबा नहीं कर सकता।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– दो चीज़ें मुश्तरक हैं और दोनों की मन्फ़अ़त मुख़्तलिफ़ क़िस्म की है मस्लन एक मकान और एक गुलाम मुश्तरक हैं और मुहायात उस तरह हुई कि एक से एक शरीक मन्फ़अ़त हासिल करे और दूसरे से दूसरा यानी एक शख़्स गुलाम से ख़िदमत ले और दूसरा मकान में सुकूनत करे यह भी जाइज़ है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– अगर फ़रीक़ैन की रज़ामन्दी से मुहायात हुई हो तो उसे तोड़ भी सकते हैं दोनों तोड़ें या एक। उज़्र से हो या बिला उज़्र सब जाइज़ है। हाँ अगर क़ज़ा–ए–क़ाज़ी से मुहायात हुई तो जब तक दोनों राज़ी न हों फ़क़त एक नहीं तोड़ सकता।(आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– गुलाम में इस तरह मुहायात हुई कि उस से उजरत पर काम कराया जाये एक महीने की उजरत एक शरीक लेगा दूसरे महीने की दूसरा यह ना'जाइज़ है यूंही अगर दो गुलाम हों एक की उजरत शरीक लेगा दूसरे की दूसरा यह भी ना'जाइज़ एक जानवर या दो जानवरों की सवारी लेने या किराये पर देने में मुहायात हुई यह भी ना'जाइज़ है यूंही अगर गाय या भैंस मुश्तरक है यह ठहरा कि पन्द्रह रोज़ एक के यहाँ रहे और दूध से नफ़अ़ उठाये और पन्द्रह दिन दूसरे के यहाँ रहे और यह दूध से नफ़अ़ उठाये यह ना'जाइज़ है और दूध जिसके यहाँ कुछ ज़्यादा हुआ यह ज़्यादती भी उसके लिये हलाल नहीं अगर्चे दूसरे ने इजाज़त देदी हो और कह दिया हो कि जो कुछ ज़्यादती हो वह तुम्हारे लिए हलाल है हाँ इस ज़्यादती को ख़र्च कर देने के बाद अगर हलाल करदे तो हो सकता है कि यह ज़मान से इब्रा है और यह जाइज़ है ख़ानिया।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– दरख़्तों के फलों में मुहायात हुई यह ना'जाइज़ है यूंही बकरियाँ मुश्तरक थीं दोनों ने बतौर मुहायात कुछ कुछ बकरियाँ लेलीं कि हर एक अपने हिस्से की चरायेगा और दूध वग़ैरा से नफ़अ़ उठायेगा यह ना'जाइज़ है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– बकरियों और फलों वग़ैरा में मुहायात जाइज़ होने का हीला यह है कि अपनी बारी में शरीक का हिस्सा ख़रीद ले जब बारी की मुद्दत पूरी होजाये उस हिस्से को शरीक के हाथ बैअ़ कर डाले। दूसरी सूरत यह है कि रोज़ाना दूध को वज़न करले और शरीक के हिस्से का जितना दूध हो उस से क़र्ज़ लेले जब मुद्दत पूरी होजाये और जानवर दूसरे के पास जाये उस ज़माने में जो कुछ दूध उसके हिस्से का हो क़र्ज़ में अदा करता रहे यहाँ तक कि जितना क़र्ज़

लिया था वह मिक़दार पूरी होजाये इस तरह करना जाइज़ है कि मुशाअ़ (शय मुश्तरक) को क़र्ज लिया जा सकता है।(दुर्रेमुख्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.12:– कपड़ा मुश्तरक है उसमें इस तरह मुहायात हुई कि दोनों बारी बारी से पहनेंगे या दो कपड़े हैं एक को एक पहनेगा दूसरे को दूसरा यह मुहायात ना'जाइज़ है कि कपड़ा पहनने में लोगों की मुख़्तलिफ़ हालत होती है किसी के बदन पर जल्द फटता है और किसी के देर में(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.13:– मकान में दोनों बारी से सुकूनत करेंगे या दूसरी चीज़ों में जबकि बारी के साथ नफ़अ़ हासिल करना हो उसमें शुरू किस से करें उसके दो तरीक़े हैं एक यह कि क़ाज़ी मुतअय्यन करदे कि पहले फुलां शख़्स नफ़अ़ उठाये दूसरा यह कि कुर्आ डाला जाये जिसके नाम का कुर्आ निकले वह पहले नफ़अ़ उठाये और यह दूसरा तरीक़ा बेहतर है कि पहली सूरत में क़ाज़ी की तरफ़ बद'गुमानी का मौक़ा है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.19:– दोनों शरीकों में इख़्तिलाफ़ है एक यह कहता है कि बारी मुक़र्रर करदी जाये दूसरा यह कहता है कि मकान के हिस्से मुतअय्यन कर दिये जायें कि एक हिस्सा में मैं सुकूनत करूँ दूसरे में दूसरा उस सूरत में दोनों से कहा जायेगा कि तुम दोनों एक बात पर मुत्तफ़िक़ होजाओ जिस एक बात पर मुत्तफ़िक़ होजाये वही की जाये।(हिदाया)

मसअ्ला.20:– किसी गाँव की हिफ़ाज़त के लिये सिपाही मुक़र्रर हुए और हुकूमत ने हिफ़ाज़त के मसारिफ़ गाँव वालों पर डाले यह ख़र्चा गाँव वालों से किस हिसाब से वसूल होगा उसकी दो सूरतें हैं अगर जान की हिफ़ाज़त मक़सूद तो गाँवों की मरदुम'शुमारी के हिसाब से हर एक पर डाला जाये और अगर अम्वाल की हिफ़ाज़त मक़सूद है तो उन लोगों के अम्वाल व इम्लाक के लिहाज़ से ख़र्चा डाला जाये और अगर दोनों की हिफ़ाज़त मक़सूद हो तो दोनों का लिहाज़ किया जाये(दुर्रेमुख्तार)

मुतफ़र्रिक़ात

मसअ्ला.1:– ज़मीन की तक़सीम में दरख़्त तब्अ़न दाख़िल होजाते हैं अगर्चे यह ज़िक्र न किया गया हो कि यह ज़मीन मअ़ हुक़ूक़ व मुराफ़िक़ (वह चीज़ें जो शय में तब्अ़न शामिल हों) के तुमको दी गई जिस तरह बैअ़ ज़मीन में दरख़्त दाख़िल हुआ करते हैं और ज़राअ़त और फल ज़मीन की तक़सीम में दाख़िल नहीं अगर्चे हुक़ूक़ व मुराफ़िक़ का ज़िक्र कर दिया हो और अगर तक़सीम में यह कह दिया कि जो कुछ क़लील व कसीर उस में है सब के साथ तक़सीम हुई तो ज़राअ़त और फल भी दाख़िल हैं जो कुछ सामान व मताअ़ उस में हैं उस कहने से भी तक़सीम में दाख़िल न होंगे परनाला और नाली और रास्ता और आब'पाशी का हक़ तक़सीम में दाख़िल होते हैं या नहीं इस में तफ़सील है अगर्चे यह चीज़ें दूसरी जानिब से हो सकती हैं तो दाख़िल नहीं और अगर नहीं हो सकतीं और वक़्ते तक़सीम इल्म में है कि यह चीज़ें तक़सीम में नहीं दी गईं तो तक़सीम जाइज़ है और यह चीज़ें नहीं मिलेंगी और अगर इल्म में नहीं तो तक़सीम बातिल है।(आलमगीरी वग़ैरा)

तक़सीम में ख़्यार के अह़काम

मसअ्ला.2:– अज्नासे मुख़्तलिफ़ा (मुख़्तलिफ किस्म की चीज़ें) की तक़सीम में ख़ियारे रुयत, ख़ियारे शर्त, ख़ियारे ऐब, तीनों साबित होते हैं और ज़वातुल'इम्साल जैसे मकीलात (वह चीज़ें जो नाप से बिकती हैं) व मौज़ूनात (वह चीज़ें जो तोलकर बिकती हैं) में ख़ियारे ऐब होता है ख़ियारे शर्त व ख़ियारे रुयत नहीं होता और ग़ैर मिस्ली जैसे गाय, बकरी और एक क़िस्म के कपड़ों में ख़ियारे ऐब होता है और फ़तवा इस पर है कि ख़ियारे शर्त व ख़ियारे रूयत भी होता है। सिर्फ़ गेहूँ तक़सीम किये गये मगर वह मुख़्तलिफ़ क़िस्म के हैं तो उसमें भी ख़ियारे रूयत हासिल होगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– दो थैलियों में रुपये थे एक एक थैली दोनों को दी गई और एक ने रुपये देख लिये थे दूसरे ने नहीं यह तक़सीम दोनों के हक़ में जाइज़ है मगर जब कि जिसने नहीं देखे हैं उसके हिस्से में ख़राब रुपये आये तो उसे ख़ियार हासिल होगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– मकान की तक़सीम हुई उसे बाहर से देख लिया है अन्दर से नहीं देखा है तो ख़ियार हासिल नहीं थान तै किये हुए ऊपर से देख लिये अन्दर से नहीं देखे ख़ियार बाक़ी न रहा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– तक़सीम में ख़ियार के वही अह़काम हैं जो बैअ् में हैं लिहाज़ा उसके हिस्से में जो चीज़ें आईं उन में कोई चीज़ ऐबदार है और क़ब्ज़ा से पहले उसे इल्म होगया तो सब को वापस करदे उसके हिस्से में एक ही क़िस्म की चीज़ें या मुख़्तलिफ़ क़िस्म की और अगर क़ब्ज़े के बाद ऐब पर ख़बर हुई और उसका हिस्सा एक चीज़ हो ह़क़ीक़तन या हुक्मन जैसे मकील व मौज़ून तो सब वापस करदे यह नहीं कर सकता कि कुछ रखले कुछ वापस करदे और अगर मुख़्तलिफ़ चीज़ें हों जैसे बकरियाँ तो सिर्फ़ ऐबदार को वापस कर सकता है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– तक़सीम में जो चीज़ उसे मिली उसने बेच डाली मुश्तरी ने उस में ऐब पाकर वापस करदी अगर यह वापसी क़ाज़ी के हुक्म से हुई है तो तक़सीम तोड़ी जा सकती है और बिग़ैर हुक्मे क़ाज़ी वापसी हुई तो तक़सीम को नहीं तोड़ सकता।(आलमगीरी)

वली भी तक़सीम कर सकता है

मसअ्ला.7:– जो शख़्स किसी की चीज़ बैअ् कर सकता है वह उसके अम्वाल की तक़सीम भी करा सकता है ना'बालिग़ और मजनून व मअ्तूह के अम्वाल की तक़सीम बाप ने कराई यह जाइज़ है जब तक उस तक़सीम में ग़ब्ने फ़ाहिश न हो। बाप न हो तो उसका वसी बाप के क़ाइम मक़ाम है और बाप का वसी न हो तो दादा उसके क़ाइम मक़ाम है। माँ ने औलाद के लिये तर्का छोड़ा है और किसी को वसी मुक़र्रर कर गई है यह वसी उस तर्का में तक़सीम करा सकता है बशर्ते कि वह तीनों जिनका पहले ज़िक्र किया गया न हो मगर माँ का वसी जायदादे ग़ैर मन्कूला में तक़सीम नहीं कर सकता। माँ और भाई और चचा और ना'बालिग़ा औरत के शौहर को या बालिग़ा औरत जो ग़ाइब है उसके शौहर को तक़सीम कराने का ह़क़ नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– ना'बालिग़ मुस्लिम का बाप काफ़िर है यह उसकी मिल्क की तक़सीम नहीं करा सकता यूंही अगर ना'बालिग़ आज़ाद है और उसका बाप ग़ुलाम है या मकातिब उसे भी विलायत हासिल नहीं उसी त़रह़ पड़ा हुआ बच्चा कोई उठा लाया वह अगर्चे उस की परवरिश में हो उस के अमवाल को यह तक़सीम नहीं करा सकता।(आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– क़ाज़ी ने यतीम के लिये किसी को वसी मुक़र्रर कर दिया है अगर यह हर चीज़ में वसी है तो तक़सीम करा सकता है जायदादे मन्कूला और ग़ैर मन्कूला सब की तक़सीम करा सकता है और अगर वह नफ़क़ा या किसी मुअ़य्यन चीज़ की हिफ़ाज़त के लिये वसी है तो तक़सीम नहीं करा सकता और बाप का वसी अगर एक चीज़ में वसी है तो सब चीज़ों में वसी है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– एक शख़्स दो बच्चों का वसी है तो उनके मुश्तरक अम्वाल को तक़सीम नहीं कर सकता जिस त़रह़ एक के माल को दूसरे के माल से बैअ् नहीं कर सकता और बाप अपने ना'बालिग़ बच्चों के मुश्तरक माल को तक़सीम कर सकता है जिस त़रह़ एक के माल को दूसरे के माल से बैअ् कर सकता है। वसी अगर दोनों ना'बालिग़ों के अम्वाल को तक़सीम कराना ही चाहता है तो उसका ह़ीला यह है कि एक का हिस्सा किसी के हाथ बैअ् करदे फिर उस मुश्तरी और दूसरे ना'बलिग़ के मा'बैन तक़सीम कराये फिर उस मुश्तरी से पहले ना'बालिग़ की त़रफ़ से ख़रीद ले दोनों हिस्से मुमताज़ होजायेंगे। दूसरी सूरत यह है कि दोनों के माल फ़रोख़्त करदे फिर हर एक के लिये मुश्तरी से मुमताज़ करके ख़रीदले।(आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– अगर यतीम व वसी के मा'बैन माले मुश्तरक है तो उस सूरत में वसी माल को तक़सीम नहीं करा सकता मगर जब कि तक़सीम में ना'बालिग़ के लिये खुला हुआ फ़ायदा मालूम होता हो और बाप और उसके ना'बालिग़ बच्चे के मा'बैन माले मुश्तरक हो तो बाप तक़सीम करा सकता है अगर्चे ना'बालिग़ का खुला हुआ नफ़अ् न भी हो।(आलमगीरी)

मसअला.12:– बालिग़ व ना'बालिग़ दोनों क़िस्म के वुरसा हैं और बिल'ग़ैन मौजूद हैं वसी ने बिल'ग़ैन के मुक़ाबिले में तक़सीम कराई और सब ना'बालिगों के हिस्से यकजाई रखे यह जाइज़ है फिर ना'बालिगों के हिस्से तक़सीम करना चाहे यह नहीं हो सकता और अगर एक नाबालिग़ है बाक़ी बालिग़ और बिल'ग़ैन में एक ग़ाइब है और बाक़ी मौजूद वसी ने मौजूदीन के मुक़ाबला में तक़सीम कराई और ग़ाइब के हिस्से को ना'बालिग़ के साथ रखा यह जाइज़ है।(आलमगीरी)

मसअला.13:– वुरसा में बालिग़ व ना'बालिग़ दोनों हैं वसी ने इस तरह तक़सीम कराई कि हर ना'बालिग़ का हिस्सा भी मुमताज़ होगया यह तक़सीम ना'जाइज़ है मय्यित ने किसी के लिये तिहाई की वसियत की है वसी ने मूसा'लहू (जिस के मुतअल्लिक़ वसियत की गई) और ना'बालिगीन के मा'बैन तक़सीम की मूसा'लहू की तिहाई उसको देदी और दो तिहाईयाँ ना'बालिगीन के लिये रखें यह जाइज़ है और अगर वुरसा बालिग़ हों मगर मौजूद नहीं हैं वसी ने तक़सीम कर के मूसा'लहू की तिहाई उसे देदी और वुरसा का हिस्सा महफ़ूज़ रखा यह भी जाइज़ है और अगर मूसा'लहू ग़ाइब है वसी ने वुरसा के मुक़ाबिल में तक़सीम कर के मूसा'लहू का हिस्सा महफ़ूज़ रखा यह तक़सीम बातिल है।(आलमगीरी)

मुज़ारअत का बयान

मुज़ारअत के मुतअल्लिक़ मुख़्तलिफ़ क़िस्म की हदीसें आईं बाज़ से जवाज़ साबित होता है और बाज़ से अदमे जवाज़ इसी वजह से सहाबा व अइम्मा में उसके जवाज़ व अदमे जवाज़ में इख़्तिलाफ़ रहा।

हदीस (1) सहीह मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कहते हैं हम मुज़ारअत किया करते थे उस में हरज नहीं जानते थे यहाँ तक कि राफ़ेअ् इब्ने ख़दीज रदियल्लाहु तआला अन्हु ने जब यह कहा कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस से मना फ़रमाया तो हमने उसे छोड़ दिया।

हदीस (2) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में राफ़ेअ् इब्ने ख़दीज रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं मदीना में सब से ज़्यादा हमारे खेत थे और हम में कोई शख़्स ज़मीन को इस तरह किराये पर देता कि इस टुकड़े की पैदावार मेरी है और उस की तुम्हारी तो कभी ऐसा होता कि एक में पैदावार होती और दूसरे में नहीं होती लिहाज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन को मना फ़रमाया।

हदीस (3) सहीहैन में हन्ज़ला इब्ने क़ैस राफ़ेअ् इब्ने ख़दीज रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कहते हैं मेरे दो चचाओं ने मुझे ख़बर दी कि हुज़ूर के ज़माने में कुछ लोग ज़मीन को इस तरह देते कि जो कुछ नालियों के आस पास पैदावार होगी वह मालिक ज़मीन की है या मालिके ज़मीन पैदावार में से किसी मख़सूस शय को अपने लिये मुस्तस्ना कर लेता लिहाज़ा नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस से मनअ् फ़रमा दिया। कहते हैं मैंने राफ़ेअ् से पूछा कि रुपया अशर्फ़ी से ज़मीन को देना कैसा है तो कहा उस में हरज नहीं बाज़ रावी यह कहते हैं कि जिस सूरत में मुमानअत है उसको जब वह शख़्स देखेगा जिसे हलाल व हराम की समझ है तो जाइज़ नहीं कह सकता।

हदीस (4) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अम्र इब्ने दीनार से मरवी है कहते हैं मैंने ताऊस से कहा कि आप मुज़ारअत छोड़ देते तो अच्छा था क्योंकि लोग यह कहते हैं इस से नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुमानअत फ़रमाई है उन्होंने कहा ऐ अम्र इस ज़रीआ से लोगों को मैं देता हूँ और लोगों की इआनत (मदद) करता हूँ और मुझे इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने यह ख़बर दी कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस को मनअ् नहीं फ़रमाया और हुज़ूर ने यह फ़रमाया कि "कोई शख़्स अपने भाई को ज़मीन मुफ़्त देदे यह उस से बेहतर है कि उस पर उजरत ले"।

हदीस (5) सहीह बुख़ारी में अबू जअ़फ़र यानी इमाम मुहम्मद बाक़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं मदीने में मुहाजिरीन का कोई घराना ऐसा नहीं जो तिहाई और चौथाई पर मुज़ारअत न करता हो और हज़रत अली व सअ़द इब्ने मालिक व अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद व उ़मर इब्ने अ़ब्दुल

अज़ीज़ व क़ासिम व उरवा व आले अबी बक्र आले उमर व आले अली व इब्ने सीरीन सब ने मुज़ारअत की रदियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन।

मसअला.1:– किसी को अपनी ज़मीन इस तौर पर काश्त के लिये देना कि जो कुछ पैदावार होगी दोनों में मसलन निस्फ़ या एक तिहाई, दो तिहाईयाँ तक़सीम हो जायेंगी इस को मुज़ारअत कहते हैं उसी को हिन्दुस्तान में बटाई पर खेत देना कहते हैं इमामे आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु के नज़्दीक मुज़ारअत ना'जाइज़ है मगर फ़तवा क़ौले साहिबैन (यानी इमाम अबू यूसुफ़ व इमाम मुहम्मद रदियल्लाहु अन्हुमा के क़ौल पर) पर है कि मुज़ारअत जाइज़ है मुज़ारअत के जवाज़ के लिये चन्द शर्तें हैं कि बिग़ैर उन शर्तों के जाइज़ नहीं। (1)आक़िदैन आक़िल बालिग़ आज़ाद हों अगर ना'बालिग़ या ग़ुलाम हों तो उस का माज़ून होना ज़रूरी है। (2)ज़मीन क़ाबिले ज़राअत हो अगर शोर ज़मीन (खारी ज़मीन जिसमें पैदावार की सलाहियत कम हो (अमीनुल क़ादरी)) या बन्जर जिस में ज़राअत की क़ाबिलयत नहीं है मुज़ारअत पर दी गई तो यह अक़्द नाजाइज़ है अगर किसी वजह से उस वक़्त ज़मीन क़ाबिले ज़राअत नहीं है मकरूह वजह ज़ाइल हो जायेगी मसलन उस वक़्त वहाँ पानी नहीं है मगर वक़्त पर पानी होजायेगा या उस वक़्त खेत पानी में डूबा हुआ है बोने के वक़्त तक सूख जायेगा तो मुज़ारअत जाइज़ है (3)वह ज़मीन जो मुज़ारअत पर दी गई मालूम हो। (4)मालिके ज़मीन काश्तकार को वह ज़मीन सिपुर्द करदे और अगर यह ठहरा है कि मालिके ज़मीन भी उस में काम करेगा तो मुज़ारात सहीह नहीं (5)बयाने मुद्दत मसलन एक साल, दो साल, के लिये ज़मीन दी और अगर मुद्दत का बयान न हो तो सिर्फ़ पहली फ़स्ल के लिये मुज़ारअत हुई और अगर ऐसी मुद्दत बयान की जिस में मुज़ारअत न हो सके या इतनी मुद्दत बयान की कि उतनी मुद्दत तक एक के ज़िन्दा रहने की ब'ज़ाहिर उम्मीद नहीं है तो उन दोनों सूरतों में मुज़ारअत फ़ासिद। (6)यह बयान कि बीज मालिके ज़मीन देगा या काश्तकार के ज़िम्मे होगा। अगर बयान न हो तो वहाँ का जो उर्फ़ हो वह किया जाये जैसे यहाँ हिन्दुस्तान भर में यही उर्फ़ है कि बीज काश्तकार के होते हैं (7)यह बयान कि क्या चीज़ बोयेगा और अगर मुतअय्यन न करे तो यह इजाज़त दे कि तेरा जो जी चाहे उस में बोना यह बताने की ज़रूरत नहीं कि कितने बीज डालेगा कि ज़मीन जितनी होती है उसी हिसाब से काश्तकार बीज डाला करते हैं (8)हर एक को क्या मिलेगा उसका अक़्द में ज़िक्र करना ज़रूरी है और जो कुछ पैदावार हुआ उसमें दोनों की शिरकत हो अगर फ़कत एक को देना क़रार पाया तो अक़्द सहीह नहीं और यह शर्त कि दूसरी चीज़ में से दिया जायेगा उस से भी शिरकत न हुई और जो मिक़दार हो हर एक के लिये उसका मुतअय्यन हो जाना ज़रूरी है मसलन निस्फ़ या तिहाई या चौथाई और जो कुछ हिस्सा हो वह जुज़ व शाइअ हो लिहाज़ा अगर एक के लिये यह ठहरा कि एक मन या दो मन दिये जायेंगे तो सहीह नहीं यूंही अगर यह ठहरा कि बीज की मिक़दार निकालने के बाद बाक़ी को इस तरह तक़सीम किया जायेगा तो मुज़ारअत सहीह न हुई इसी तरह अगर यह ठहरा कि खेत के उस हिस्से की पैदावार फुलाँ लेगा और बाक़ी फुलाँ या बाक़ी को दोनों में तक़सीम किया जायेगा यह मुज़ारअत सहीह नहीं और अगर यह ठहरा कि ज़मीन का फ़र्श निकालकर बाक़ी को तक़सीम किया जायेगा तो हरज नहीं यूंही अगर यह तै हो कि दोनों में एक को पहले पैदावार का दसवाँ हिस्सा दिया जाये उस के बाद इस तरह तक़सीम हो तो इस में भी हरज नहीं।

शुरूते मुन्दरजा ज़ैल (नीचे लिखी शर्तों) से मुज़ारअत फ़ासिद होजाती है। (1)पैदावार का एक के लिये मख़्सूस होना। (2)मालिके ज़मीन के काम करने की शर्त। (3)हल, बैल, मालिके ज़मीन के ज़िम्मे शर्त कर देना। (3)खेत काटना, और ढोकर ख़िर्मन (ग़ल्ले का ढेर लगाने की जगह) में पहुँचाना फिर दायें चलाना और ग़ल्ले को भूसा उड़ाकर जुदा करना इन सब को मुज़ारेअ (काश्तकार) पर शर्त करना मुफ़्सिद है या नहीं उस में दो रिवायतें हैं और यहाँ का उर्फ़ यह है कि यह चीज़ें भी मुज़ारेअ ही करता है मगर रिवाज यह है कि उन सब चीज़ों में मज़दूरी जो कुछ दी जाती है वह मुश्तरक ग़ल्ले

से दी जाती है मुज़ारेअ् अपने पास से नहीं देता बल्कि उन तमाम मसारिफ़ के बाद जो कुछ ग़ल्ला बचता है वह हस्बे क़रारदाद तक़सीम होता है। **(4)**एक को ग़ल्ला मिलेगा और दूसरे को सिर्फ़ भूसा। **(5)**ग़ल्ला बांटा जायेगा और भूसा वह लेगा जिस के बीज नहीं हैं मसलन मालिके ज़मीन। **(6)**भूसा बांटा जायेगा और ग़ल्ला सिर्फ़ एक को मिलेगा। और अगर यह शर्त है कि ग़ल्ला बंटेगा और भूसा उसको मिलेगा जिसके बीज हैं जैसा यहाँ का यही उ़र्फ़ है कि मुज़ारेअ् ही बीज देता है और भूसा लेता है यह सूरत सहीह है यूंही अगर भूसे के मुतअ़ल्लिक़ कुछ ज़िक्र ही न आया कि उसको कौन लेगा यह भी सहीह है मगर उस सूरत में भूसा कौन लेगा उस में दो क़ौल हैं एक यह कि यह भी बंटेगा दूसरा यह कि जिस के बीज हैं उसे मिलेगा यही ज़ाहिरुर्रिवाया है और यहाँ का उ़र्फ़ दूसरे क़ौल के मुवाफ़िक़ है।

मसअ्ला.2:– एक शख़्स की ज़मीन और बीज और दूसरा शख़्स अपने हल बैल से जोते, बोयेगा या एक की फ़क़त ज़मीन बाक़ी सब कुछ दूसरे का यानी बीज भी उसी के और हल, बैल भी उसी के और काम भी यही करेगा या मुज़ारेअ् सिर्फ़ काम करेगा बाक़ी सब कुछ मालिके ज़मीन का यह तीनों सूरतें जाइज़ हैं और अगर यह हो कि ज़मीन और बैल एक के और काम करना और बीज मुज़ारेअ् के ज़िम्मे या यह कि बैल और बीज एक के और ज़मीन और काम दूसरे का या यह कि एक के ज़िम्मे फ़क़त बैल या बीज बाक़ी सब कुछ दूसरे का यह चारों सूरतें ना'जाइज़ व बातिल हैं

मसअ्ला.3:– मुज़ारअ़त जब सहीह हो तो जो कुछ पैदावार हो उस को उस तौर पर तक़सीम करें जैसा तै हुआ है और कुछ पैदावार न हुई तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा और अगर मुज़ारअ़त फ़ासिद हो तो बहर सूरत काम करने वाले को उजरत मिलेगी पैदावार हो या न हो।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– तीन या चार शख़्स मुज़ारअ़त में शरीक हुए यूंही कि एक के फ़क़त बीज या बैल होंगे या यूँ कि एक की ज़मीन और एक के बीज, और एक के बैल और एक काम करेगा या यूँ कि एक की ज़मीन और बीज और दूसरे के बैल और तीसरा काम करेगा यह सब सूरतें मुज़ारअ़ते फ़ासिदा की हैं।(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.5:– अ़क़्दे मुज़ारअ़त हो जाने के बाद यह अ़क़्द लाज़िम होता है या नहीं इस में यह तफ़सील है कि जिस के बीज होंगे उस की जानिब से लाज़िम नहीं वह इस पर अ़मल'पैरा होने से (मानने से) इन्कार कर सकता है और जिस के बीज नहीं उस पर लाज़िम है यह नहीं कह सकता कि मुझे यह अ़क़्द मन्ज़ूर नहीं बल्कि उसको अ़क़्द के मुवाफ़िक़ करना ही पड़ेगा और बीज ज़मीन में डालदेने के बाद दोनों तरफ़ से लाज़िम होगया कोई भी इन्कार नहीं कर सकता।(आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– जिस के बीज हैं अगर वह इस अ़क़्द से इन्कार इस वजह से करता है कि वह ख़ुद अपने हाथ से बोना चाहता है या उसको कोई दूसरा शख़्स मिल गया जो कम में काम करेगा मसलन यह मुज़ारेअ् निस्फ़ लेना चाहता है वह दूसरा तिहाई पर काम करने को तैयार है इन सूरतों में बीज वाला इन्कार नहीं कर सकता उसको इस अ़क़्द के मुवाफ़िक़ करना ही होगा।(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.7:– मुज़ारअ़त में अगर मुज़ारेअ् के ज़िम्मे खेत का जोतना शर्त है जब तो उसे जोतना ही है और अगर अ़क़्द में यह शर्त मज़कूर न हुई तो उस की दो सूरतें हैं अगर वह ज़मीन ऐसी है कि बिग़ैर जोते भी उस में वैसी ही पैदावार हो सकती है जो मक़सूद है तो जबरन उस से नहीं जुतवाया जा सकता और अगर बिग़ैर जोते कुछ पैदावार न होगी या बहुत कम होगी तो खेत जोतने पर मजबूर किया जायेगा। यही हुक्म आब'पाशी का है कि अगर महज़ आसमानी बारिश काफ़ी है पानी न दिया जाये जब भी ठीक पैदावार होगी तो पानी देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता वरना उसे पानी देना ही होगा इन्कार नहीं कर सकता।(आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– मुज़ारअ़त होजाने के बाद पैदावार की तक़सीम जिस तरह तै पा गई है उस में कमी बेशी हो सकती है या नहीं मसलन निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम करना तै पाया था अब एक तिहाई, दो तिहाई लेना देना चाहता है उस की तफ़सील यह है कि यह कमी या बेशी मालिक ज़मीन की तरफ़

से होगी या मुज़ारेअ़ की तरफ़ से और बहर सूरत बीज मालिक ज़मीन के हैं या मुज़ारेअ़ के। अगर खेत तैयार होगया और बीज मुज़ारेअ़ के हैं और पहले मुज़ारअ़त निस्फ़ पर थी अब काश्तकार मालिक ज़मीन का हिस्सा बढ़ाना चाहता है उसे दो तिहाईयाँ देना चाहता है यह ना जाइज़ है बल्कि पैदावार उसी तरह पर तक़सीम होगी जो तै है और अगर मालिक ज़मीन मुज़ारेअ़ का हिस्सा बढ़ाना चाहता है बजाये निस्फ़ उस को दो तिहाईयाँ देना चाहता है यह जाइज़ है। और अगर बीज मालिक ज़मीन के हैं और यह मुज़ारेअ़ का हिस्सा ज़्यादा करना चाहता है यह ना जाइज़ है और मुज़ारेअ़ मालिक ज़मीन का हिस्सा ज़्यादा करना चाहता है यह जाइज़ है। और अगर फ़स्ल तैयार होने से पहले कमी बेशी करना चाहते हैं तो मुतलक़न जाइज़ है मुज़ारेअ़ की तरफ़ हो या मालिक ज़मीन की तरफ़ से बीज उस के हों या इस के।(आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– मुज़ारअ़त इस तरह हुई कि एक की ज़मीन है और बीज दोनों के हैं और मुज़ारेअ़ के ज़िम्मे काम करना है और शर्त यह है कि जो कुछ पैदावार होगी दोनों बराबर बांट लेंगे यह मुज़ारअ़त फ़ासिद है यूंही अगर एक के लिये दो तिहाईयाँ और दूसरे के लिए एक तिहाई मिलना शर्त हो यह भी फ़ासिद है और अगर ज़मीन दोनों की हो और बीज भी दोनों देंगे और काम भी दोनों करेंगे और जो कुछ पैदावार होगी दोनों बराबर बांट लेंगे। यह मुज़ारअ़त सहीह है और अगर ज़मीन दोनों में मुश्तरक है और बीज एक के हैं और पैदावार बराबर लेंगे यह सूरत फ़ासिद है और अगर उसी सरूत में कि ज़मीन मुश्तरक है यह शर्त हो कि जो काम करेगा उस की दो तिहाईयाँ और दूसरे को यानी जिसके बीज नहीं हैं उस को एक तिहाई मिलेगी यह जाइज़ है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– मुज़ारअ़ते फ़ासिदा के यह अहकाम हैं। जो कुछ इस सूरत में पैदावार हो उसका मालिक तन्हा वह शख़्स है जिस के बीज हैं फिर अगर बीज मुज़ारेअ़ के हैं तो यह मालिक ज़मीन को ज़मीन की उजरते मिस्ल देगा और अगर बीज मालिक ज़मीन के हैं तो यह मुज़ारेअ़ को उस के काम की उजरते मिस्ल देगा और अगर बैल भी मालिक ज़मीन ही के हैं तो ज़मीन और बैल दोनों की उजरते मिस्ल उस को मिलेगी इमाम अबूयूसुफ़ रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैह के नज़्दीक उजरते मिस्ल उतनी ही दी जाये जो मुक़र्रर शुदा से ज़ाइद न हो यानी अगर मुक़र्रर शुदा से ज़ाइद हो तो उतनी ही दे जो मुक़र्रर है यानी मसलन निस्फ़ पैदावार की बराबर और इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैह के नज़्दीक यह पाबन्दी नहीं बल्कि जितनी भी उजरते मिस्ल हो अगरचे मुक़र्रर शुदा से ज़्यादा हो वही दी जायेगी। (हिदाया)

मसअ्ला.11:– मुज़ारअ़ते फ़ासिदा में अगर बीज मालिक ज़मीन के हैं और पैदावार उसने ली यह उस के लिये हलाल व तय्यिब है और अगर मुज़ारेअ़ के बीज थे और पूरी पैदावार उसने ली तो इस के लिये फ़क़त उतना ही तय्यिब है जो बीज और लगान के मुक़ाबिल में है बाक़ी को सदक़ा करे(हिदाया)

मसअ्ला.12:– मुज़ारअ़ते फ़ासिदा में अगर यह चाहें कि पैदावार का जो कुछ हिस्सा मिला है वह तय्यिब व ताहिर (पाक) होजाये तों उसका तरीक़ा यह है कि हिस्से बंट जाने के बाद मालिक ज़मीन मुज़ारेअ़ से कहे तुम्हारा मेरे ज़िम्मे यह वाजिब है और मेरा तुम्हारे ज़िम्मे यह वाजिब है उस ग़ल्ला को लेकर मुसालहत करलो और मुज़ारेअ़ भी उसी तरह करे और दोनों आपस में मुसालहत करलें अब कोई हरज न रहेगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– एक शख़्स ने दूसरे को बीज दिये और यह कहा कि तुम उन्हें अपनी ज़मीन में बोदो और जो कुछ ग़ल्ला पैदा हो वह तुम्हारा है या यूँ कहा कि अपनी ज़मीन में मेरे बीज से काश्त करो जो कुछ पैदावार हो वह तुम्हारी है यह दोनों सूरतें जाइज़ हैं मगर यह मुज़ारअ़त नहीं है क्योंकि पैदावार में शिरकत नहीं है बल्कि उस शख़्स ने अपने बीज उसे क़र्ज़ दिये और अगर बीज वाले ने मालिक ज़मीन से यह कहा कि मेरे बीज से तुम अपनी ज़मीन काश्त करो और जो कुछ पैदावार हो मेरी है यह सूरत भी जाइज़ है और उस का मतलब यह हुआ कि उस की ज़मीन काश्त के लिये आ़रियत ली।(आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– मुज़ारेअ् को ज़मीन दी और यह कहा कि उस में गेहूँ और जौ दोनों बोये जायें एक को गेहूँ मिलेंगे और दूसरे को जौ यह मुज़ारअत फ़ासिद है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– मुज़ारेअ् को ज़मीन दी और यह कहा कि अगर तुमने गेहूँ बोये तो निस्फ़ निस्फ़ दोनों के और जौ बोये तो कुल मुज़ारेअ् के यह सूरत जाइज़ है इसका मतलब यह है कि गेहूँ बोने की सूरत में मुज़ारअत है और जौ बोने की सूरत में आ़रियत है और अगर यह कह कर ज़मीन दी कि गेहूँ बोये तो निस्फ़ निस्फ़ और जौ बोये तो यह कुल मालिके ज़मीन के इस का हुक्म यह है कि गेहूँ बोने की सूरत में मुज़ारअत है और जाइज़ है और जौ बोये तो यह कुल मुज़ारेअ् के होंगे और मालिके ज़मीन को ज़मीन की उजरते मिस्ल यानी वाजिबी लगान दिया जाये।(आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– यह कह कर ज़मीन दी कि अगर गेहूँ बोये तो निस्फ़ निस्फ़ और जौ बोये तो मालिके ज़मीन के लिये एक तिहाई और मुज़ारेअ् के लिये दो तिहाईयाँ और तिल बोये तो मालिक ज़मीन की एक चौथाई, बाक़ी मुज़ारेअ् की यह सूरत जाइज़ है जो कुछ बोयेगा उसी शर्त के मुवाफ़िक़ तक़सीम होगी।(आलमगीरी)

मसअ्ला.17:– एक शख़्स को तीस बरस के लिये ज़मीन देदी कि गेहूँ या जौ या जो कुछ रबीअ् या ख़रीफ़ की पैदावार हो दोनों में तक़सीम होगी और उस ज़मीन में मुज़ारेअ् जो दरख़्त लगायेगा वह एक तिहाई मालिके ज़मीन का बाक़ी मुज़ारेअ् का यह जाइज़ है वह जो कुछ बोये या जिस क़िस्म के दरख़्त लगाये उसी शर्त के मुवाफ़िक़ किया जायेगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– मुज़ारअत में यह शर्त हुई कि अगर मजदूर से काम लिया जायेगा तो उस की उजरत मुज़ारेअ् के ज़िम्मे होगी यह जाइज़ है और अगर यह शर्त हो कि मज़दूरी मालिके ज़मीन के ज़िम्मे होगी यह ना'जाइज़ है और मुज़ारअते फ़ासिद। यूहीं अगर यह शर्त हो कि मज़दूरी मुज़ारेअ् देगा मगर जो कुछ उजरत में सर्फ़ होगा उस के एवज़ का ग़ल्ला निकालकर बाक़ी को तक़सीम किया जायेगा यह भी ना'जाइज़।(आलमगीरी)

मसअ्ला.19:– मुज़ारअ़त में ऐसी शर्त थी जिसकी वजह से मुज़ारअ़त फ़ासिद होगई थी और वह शर्त जिस के लिये मुफ़ीद थी उसने अ़मल से पहले शर्त बातिल करदी मस्लन यह शर्त थी कि मालिक ज़मीन या मुज़ारेअ् बीस रुपये और निस्फ़ पैदावार लेगा जिसको यह रुपये मिलते उसने यह शर्त बातिल करदी तो अब यह मुज़ारअत जाइज़ होगई और अगर वह शर्त दोनों के लिये मुफ़ीद हो तो जब तक दोनों उस शर्त को बातिल न करें फ़क़त एक के बातिल करने से मुज़ारअत जाइज़ न होगी।(आलमगीरी)

मसअ्ला.20:– काश्तकार ने खेत जोत लिया अब मालिक ज़मीन कहता है बटाई पर बुवाना नहीं चाहता अगर बीज काश्तकार के ज़िम्मे हैं तो मालिक ज़मीन को इन्कार करने का कोई हक़ नहीं उससे ज़मीन जबरन ली जायेगी और काश्तकार बोयेगा और अगर बीज मालिके ज़मीन के ज़िम्मे हैं तो इन्कार कर सकता है उस पर जब्र नहीं किया जा सकता रहा यह कि काश्तकार को खेत जोतने का मुआवज़ा दिया जायेगा या नहीं दियानत का हुक्म यह है कि काश्तकार को खेत जोतने की उजरते मिस्ल देकर राज़ी करे क्योंकि अगर्चे खेत जोतने पर वह अजीर नहीं है मगर चूंकि मालिके ज़मीन ने उस से अक़्दे मुज़ारअत किया इस वजह से उसने जोता वरना क्यों जोतता(दुर्रेमुख़्तार)

मुज़ारेअ् का दूसरे को मुज़ारअत पर ज़मीन दे देना

मसअ्ला.21:– काश्तकार को मुज़ारअत पर ज़मीन दी काश्तकार यह चाहता है कि दूसरे शख़्स को मुज़ारअ़त पर देदे अगर बीज मालिके ज़मीन के हैं तो ऐसा नहीं कर सकता जब तक मालिके ज़मीन से सराहतन या दलालतन इजाज़त न हासिल करे दलालतन इजाज़त की यह सूरत है कि उसने कह दिया हो तुम अपनी राय से काम करो और बिग़ैर इजाज़त उसने दूसरे को देदी तो इन दोनों के मा'बैन हस्बे शराइत ग़ल्ला तक़सीम होगा और मालिके ज़मीन बीज का तावान लेगा पहले से लेगा तो वह दूसरे से वापस नहीं ले सकता और दूसरे से लेगा तो वह पहले से रुजूअ् करेगा और

ज़राअत की वजह से ज़मीन में जो कुछ नुक़सान होगा वह मुज़ारेअ् दोम से मालिके ज़मीन वसूल करेगा फिर इस सूरत में मुज़ारेअ् अव्वल को पैदावार का जो हिस्सा मिला है उस में से उतना हिस्सा उस के लिये जाइज़ है जो तावान में दे चुका है बाक़ी को सदक़ा करदे।(आलमगीरी)

मसअ्ला.22:– मालिक ज़मीन ने मुज़ारेअ् को सराहतन या दलालतन इजाज़त देदी है कि वह दूसरे को मुज़ारअत के तौर पर देदे और मालिके ज़मीन ने निस्फ़ पर उस को दी थी और उसने दूसरे को निस्फ़ पर देदी तो यह दूसरी मुज़ारअत जाइज़ है। और जो पैदावार होगी उस में का निस्फ़ मालिके ज़मीन लेगा और निस्फ़ मुज़ारेअ् दोम लेगा मुज़ारेअ् अव्वल के लिये कुछ नहीं बचा और अगर मुज़ारेअ् अव्वल ने दूसरे से यह तय कर लिया है कि आधा मालिक ज़मीन को मिलेगा और आधे में हम दोनों बराबर लेंगे या एक तिहाई, दो तिहाई लेंगे तो जो कुछ तय पाया उसके मुवाफ़िक़ तक़सीम हो।

मसअ्ला.23:– मालिक ज़मीन ने मुज़ारअत पर ज़मीन दी और यह कहा कि अपने बीज से काश्त करो उसने ज़मीन और बीज दूसरे को बोने के लिये मुज़ारअत पर देदी यह जाइज़ है मालिके ज़मीन ने सराहतन या दलालतन ऐसा करने की इजाज़त दी हो या न दी हो दोनों का एक हुक्म है अब अगर पहली मुज़ारअत निस्फ़ पर थी और दूसरी भी निस्फ़ पर हुई तो निस्फ़ ग़ल्ला मालिके ज़मीन लेगा और निस्फ़ मुज़ारेअ् दोम। और मुज़ारेअ् अव्वल को कुछ नहीं मिलेगा और अगर दूसरी मुज़ारअत में यह ठहरा है कि एक तिहाई मुज़ारेअ् दोम की तो निस्फ़ मालिके ज़मीन का और एक तिहाई दोम की और छठा हिस्सा मुज़ारेअ् अव्वल का या उस के सिवा जो सूरत तै पा गई हो उसके मुताबिक़ तक़सीम हो।(आलमगीरी)

मसअ्ला.24:– मालिके ज़मीन ने मुज़ारेअ् से कहा कि तुम अपने बीजों से काश्त करो दोनों निस्फ़ निस्फ़ लेंगे और मुज़ारेअ् (किसान) ने दूसरे को देदी कि तुम अपने बीज से काश्त करो और जो कुछ पैदावार हो उस में दो तिहाईयाँ तुम्हारी इस सरूत में मुज़ारेअ् दोम हस्बे शर्त दो तिहाईयाँ लेगा और एक तिहाई मालिके ज़मीन लेगा और मालिके ज़मीन मुज़ारेअ् अव्वल से तिहाई ज़मीन की उजरत (लगान) लेगा और अगर बीज मुज़ारेअ् अव्वल ही ने दिये मगर मुज़ारेअ् दोम के लिये पैदावार की दो तिहाईयाँ देना तै पाया उस सूरत में भी वही हुक्म है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.25:– काश्त के लिये दूसरे को ज़मीन दी और यह ठहरा कि बीज दोनों के होंगे और बैल काश्तकार के होंगे और पैदावार दोनों में निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम हो जायेगी काश्तकार ने एक दूसरे शख़्स को अपने हिस्से में शरीक कर लिया कि यह भी उस के साथ काम करेगा उस सूरत में मुज़ारअत और शिरकत दोनों फ़ासिद हैं। जितने जितने दोनों के बीज हों उसी हिसाब से ग़ल्ला दोनों में तक़सीम होगा और मालिक ज़मीन मुज़ारेअ् अव्वल से निस्फ़ ज़मीन की उजरते मिस्ल लेगा और यह दूसरा शख़्स भी मुज़ारेअ् अव्वल से अपने काम की उजरते मिस्ल लेगा। और मुज़ारेअ् अव्वल अपने बीज की क़द्र और जो कुछ ज़मीन की उजरत और काम की उजरत दे चुका है उन की क़ीमत का ग़ल्ला रख ले बाक़ी को सदक़ा कर दे।(आलमगीरी) और अगर काश्तकार ने दूसरे को शरीक न किया हो जब भी फ़ासिद है और वही अहकाम हैं जो मज़कूर हुये।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मुज़ारअत फ़स्ख़ होने की सूरतें

मसअ्ला.26:– जिन दो शख़्सों के मा'बैन मुज़ारअत हुई उनमें किसी के मरजाने से मुज़ारअत फ़स्ख़ हो जायेगी जैसा कि इजारा का हुक्म था फिर अगर मसलन तीन साल के लिये मुज़ारअत पर ज़मीन दी थी और पहली साल में खेत बोने और उगने के बाद मालिक ज़मीन मरगया और खेत अभी काटने के क़ाबिल नहीं हो तो ज़मीन मुज़ारेअ् के पास उस वक़्त तक छोड़दी जायेगी कि फ़सल तैयार होजाये इस सूरत में पैदावार हस्बे क़रारदाद तक़सीम होगी और दूसरे तीसरे साल के हक़ में मुज़ारअत फ़स्ख़ होजायेगी। (हिदाया)

मसअ्ला.27:– मुज़ारेअ् ने खेत जोतकर तैयार किया मेंढ भी दुरुस्त करली नालियाँ भी बनालीं मगर अभी बोया नहीं है कि मालिके ज़मीन मरगया तो मुज़ारअत फ़स्ख़ होगई और मुज़ारेअ् ने जो कुछ काम किया है इस सूरत में उसका कोई मुआवज़ा नहीं।(हिदाया)

मसअ्ला.28:– खेत बो दिया गया और अभी उगा नहीं कि मालिक ज़मीन मरगया इस सूरत में मुज़ारअत फ़स्ख़ होगी या बाक़ी रहेगी उस में मशाइख़ का इख़्तिलाफ़ है।(आलमगीरी) जो मशाइख़ यह कहते हैं कि मुज़ारअत फ़स्ख़ नहीं होगी उनका क़ौल बेहतर मालूम होता है कि मुज़ारेअ् को नुक़सान से बचाना है जबकि बीज मुज़ारेअ् के हों।

मसअ्ला.29:– मुज़ारेअ् ने खेत बोने में देर की कि मुद्दत ख़त्म होगई और अभी ज़राअत कच्ची है कटने के क़ाबिल नहीं हुई मालिक ज़मीन कहता है कि कच्ची खेती कांट ली जाये और मुज़ारेअ् इन्कार करता है मालिक ज़मीन को खेत काटने से रोका जायेगा और चूंकि आधी ज़राअत मुज़ारेअ् की है खेत तैयार होने तक दोनों के माबैन एक जदीद इजारा क़रार दिया जायेगा लिहाज़ा उतने दिनों की जो कुछ उजरत उस ज़मीन की हो उस का निस्फ़ मुज़ारेअ् मालिक ज़मीन को देगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.30:– फ़स्ल तैयार होने से पहले मुज़ारेअ् मरगया उस के वुरसा कहते हैं कि हम इस खेत का काम करेंगे उनको यह हक़ दिया जायेगा कि यह लोग मुज़ारेअ् के क़ाइम मक़ाम हैं इस सूरत में काम की उन को कुछ उजरत नहीं मिलेगी बल्कि पैदावार का हिस्सा मिलेगा और अगर यह लोग ज़राअत के काम से इन्कार करते हैं तो उन को मजबूर नहीं किया जा सकता बल्कि मालिक ज़मीन को इख़्तियार है कि कच्ची खेती काटकर आधी उन को देदे और आधी ख़ुद लेले या उन के हिस्से की क़ीमत देकर ज़राअत लेले या उन के हिस्से पर भी ख़र्च करे और जो कुछ उन के हिस्से पर सर्फ़ हो वह उन के हिस्से की पैदावार से वसूल करे।(हिदाया)

मसअ्ला.31:– खेत बोने के बाद मुज़ारेअ् ग़ाइब होगया मालूम नहीं कहाँ है मालिक ज़मीन ने क़ाज़ी से हुक्म हासिल कर के ज़राअत पर सर्फ़ किया खेत जब तैयार होगया मुज़ारेअ् आया और अपना हिस्सा मांगता है तो जो कुछ सर्फ़ा हुआ है जब तक सब न देदे अपना लेने का हक़दार नहीं और अगर बिग़ैर हुक्मे क़ाज़ी मालिक ज़मीन ने सर्फ़ किया तो मुतबर्रेअ् है वसूल नहीं कर सकता और क़ाज़ी हुक्म उस वक़्त देगा जब मालिक ज़मीन गवाहों से साबित करदे कि ज़मीन मेरी है मुज़ारअत पर फुलां को देदी है वह खेत बोकर ग़ाइब होगया।(आलमगीरी)

मसअ्ला.32:– फ़स्ल तैयार होने के बाद मुज़ारेअ् मरगया मालिक ज़मीन यह देखता है कि खेत में ज़राअत मौजूद नहीं है और यह मालूम नहीं क्या हुई तो अपने हिस्से का तावान उसके तर्का से वसूल करेगा अगर्चे वुरसा कहते हों कि ज़राअत चोरी होगई।(आलमगीरी)

मसअ्ला.33:– मालिक ज़मीन पर दैन है और सिवा इस ज़मीन के जिस को मुज़ारअत पर दे चुका है कोई माल नहीं है जिस से दैन अदा किया जाये अगर अभी फ़क़त अक़्दे मुज़ारअत ही हुआ है काश्तकार ने खेत बोया नहीं है तो ज़मीन दैन की अदा के लिये बैअ् कर दी जाये और मुज़ारअत फ़स्ख़ कर दी जाये और अगर खेत बोया जा चुका है मगर अभी उगा नहीं है जब भी बैअ् हो सकती है और दियानत का हुक्म यह है कि मुज़ारेअ् को कुछ देकर राज़ी कर लिया जाये और ज़राअत उग चुकी है मगर अभी तैयार नहीं हुई है तो बिग़ैर इजाज़त मुज़ारेअ् नहीं बेची जा सकती वह अगर इजाज़त देदे तो अब बेचना जाइज़ है और उस में दो सूरतें हैं सिर्फ़ ज़मीन की बैअ् हो या ज़मीन व ज़राअत दोनों की हो अगर दोनों की बैअ् हो और मुज़ारेअ् ने इजाज़त देदी तो दोनों में बैअ् नाफ़िज़ होगी और इस सूरत में स्मन को क़ीमते ज़मीन और क़ीमते ज़राअत पर तक़सीम करें जो हिस्सा ज़मीन के मुक़ाबिल में हो वह मालिक ज़मीन का है और जो हिस्सा ज़राअत के मुक़ाबिल में है दोनों पर हस्बे क़रारदाद तक़सीम किया जाये और अगर मुज़ारेअ् ने इजाज़त नहीं दी तो मुश्तरी को इख़्तियार है कि बैअ् को फ़स्ख़ करदे या ज़राअत तैयार होने का इन्तिज़ार करे और

अगर सिर्फ़ ज़मीन की बैअ् हुई है और मुज़ारेअ् ने इजाज़त देदी तो ज़मीन मुश्तरीं की है और ज़राअत बाइअ् व मुज़ारेअ् की है और अगर मुज़ारेअ् ने इजाज़त नहीं दी तो मुश्तरी को इख़्तियार है कि बैअ् फ़स्ख़ करदे या इन्तिज़ार करे और अगर मालिक ज़मीन ने ज़मीन और ज़राअत का अपना हिस्सा बैअ् किया तो उस में भी वही दो सूरतें हैं। और मुज़ारेअ् यह चाहे कि बैअ् को फ़स्ख़ करदे यह हक़ उसे हासिल नहीं।(हिदाया, दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– फ़स्ल तैयार होने के बाद दैन अदा करने के लिये ज़मीन बेची गई अगर सिर्फ़ ज़मीन की बैअ् हुई तो बिला तवक़्क़ुफ़ जाइज़ है और अगर ज़मीन और पूरी ज़राअत बैअ् करदी तो ज़मीन और ज़राअत के उस हिस्से में जो मालिक ज़मीन का है बैअ् जाइज़ है और मुज़ारेअ् के हिस्से में उसकी इजाज़त पर मौकूफ़ है और फ़र्ज़ करो मुज़ारेअ् ने इजाज़त नहीं दी और मुश्तरी को यह मालूम था कि यह ज़मीन मुज़ारअत पर है तो मुश्तरी को इख़्तियार हासिल है कि सिर्फ़ बाइअ् के हिस्से पर क़नाअत करे और हिस्सा–ए–मुज़ारेअ् के मुक़ाबिल में समन का जो हिस्सा हो वह कम करदे और चाहे तो बैअ् फ़स्ख़ करदे कि उसने पूरी ज़राअत ख़रीदी थी फ़क़त इतना ही हिस्सा उसे ख़रीदना मक़सूद न था।(आलमगीरी)

मसअ्ला.35:– खेत में बीज डाल दिये गये और अभी उगे नहीं खेत को बैअ् कर दिया अगर वह बीज सड़ गये हैं तो मुश्तरी के हैं और अगर सड़े नहीं हैं तो यह बीज बाइअ् के हैं और फ़र्ज़ करो मुश्तरी ने पानी दिया बीज उगे गल्ला पैदा हुआ तो यह सब बाइअ् ही का है मुश्तरी को कोई मुआवज़ा नहीं मिलेगा कि उसने जो कुछ किया तबर्रोअ् (एहसान) है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.36:– मदयून (मक़रूज़) दैन (क़र्ज़) की वजह से क़ैद किया गया और उस के पास यही ज़मीन है जो मुज़ारअत पर उठा चुका है और ज़मीन में कच्ची ज़राअत है जिसकी वजह से बैअ् नहीं की जा सकती कि बेच कर दैन अदा किया जाता तो उसे क़ैद ख़ाना से रिहा किया जायेगा कि दैन की अदा में जो कुछ देर होगी वह उज़्र से है।(हिदाया)

मसअ्ला.37:– मुज़ारेअ् ऐसा बीमार होगया कि काम नहीं कर सकता या सफ़र में जाना चाहता है या वह उस पेशा–ए–ज़राअत ही को छोड़ना चाहता है उन सूरतों में मुज़ारअत फ़स्ख़ करदी जायेगी या मुज़ारेअ् यह कहता है कि मैं दूसरी ज़मीन की काश्त करूँगा और बीज उसी के हैं तो छोड़ सकता है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.38:– मुद्दत पूरी होगई और अभी फ़स्ल तैयार नहीं है तो मुद्दत के बाद जितने दिनों तक ज़राअत तैयार न होगी उतने दिनों की मुज़ारेअ् के ज़िम्मे निस्फ़ ज़मीन की उजरते मिस्ल वाजिब है और मुद्दत के बाद ज़राअत पर जो कुछ सर्फ़ होगा वह दोनों के ज़िम्मे होगा क्योंकि अक़्दे मुज़ारअत ख़त्म होचुका अब यह ज़राअत दोनों की मुश्तरक चीज़ है लिहाज़ा ख़र्च भी दोनों के ज़िम्मे मगर यह ज़रूर है कि जो कुछ एक ख़र्च करे वह दूसरे की इजाज़त से हो या हुक्मे क़ाज़ी से। बिग़ैर उसके जो कुछ ख़र्च किया मुतबर्रेअ् है उसका मुआवज़ा नहीं मिलेगा।(हिदाया)

मसअ्ला.39:– मुद्दत ख़त्म होगई मालिक ज़मीन यह चाहता है कि यही कच्ची खेती काट ली जाये यह नहीं किया जा सकता और अगर मुज़ारेअ् कच्ची काटना चाहता है तो मालिक ज़मीन को इख़्तियार दिया जायेगा कि कच्चा खेत काटकर दोनों बांट लें या मुज़ारेअ् के हिस्से की क़ीमत देकर कुल ज़राअत लेले या खेत पर अपने पास से सर्फ़ करे और तैयार होने पर उसके हिस्से से वसूल करे।(हिदाया)

मसअ्ला.40:– दो शख़्सों की मुश्तरक ज़मीन है एक ग़ाइब है तो जो मौजूद है वह पूरी ज़मीन में काश्त कर सकता है जब शरीक आजाये तो जितने दिनों तक उसकी काश्त में रही अब यह उतने दिनों काश्त में रखे यह उस सूरत में है कि ज़राअत से ज़मीन को नुक़सान न पहुँचे उस की क़ुव्वत कम न हो और अगर मालूम है कि ज़राअत से ज़मीन कमज़ोर होजायेगी या ज़राअत न करने में ज़मीन को नफ़अ् पहुँचेगा उसकी क़ुव्वत ज़्यादा होगी तो शरीके मौजूद को ज़राअत की इजाज़त नहीं(आलमगीरी)

मसअ्ला.41:– दूसरे की ज़मीन में बिग़ैर इजाज़त काश्त की और मालिक को उस वक़्त ख़बर हुई जब फ़स्ल तैयार हुई उसने अपनी रज़ा'मन्दी ज़ाहिर की या यह हुआ कि पहले नाराज़ हुआ फिर रज़ा'मन्दी देदी दोनों सूरतों में काश्तकार के लिए पैदावार हलाल होगई।(आलमगीरी)

मसअ्ला.42:– एक शख़्स ने दूसरे की ज़मीन पर ग़ासिबाना क़ब्ज़ा किया और मुज़ारअत पर उठा दी मुज़ारेअ् ने अपने बीज बोये और अभी उगे नहीं थे कि मालिक ज़मीन ने इजाज़त देदी तो इजाज़त होगई और जो कुछ पैदावार होगी वह मालिक ज़मीन और मुज़ारेअ् के मा'बैन उस तरह तक़सीम होगी जो ग़ासिब ने तै की थी और अगर खेती उग आई है और ऐसी होगई है कि उसकी कुछ क़ीमत हो और अब मालिक ज़मीन ने इजाज़त दी तो मुज़ारअत जाइज़ होगई या'नी मालिके ज़मीन उसके बाद ना'जाइज़ करना चाहे तो नहीं कर सकता और इजाज़त से पहले अपना खेत ख़ाली करा सकता था मुज़ारअत के जाइज़ होने का यह मतलब नहीं कि पैदावार में उसे हिस्सा मिलेगा बल्कि इस सूरत में जो कुछ पैदावार होगी वह मुज़ारेअ् व ग़ासिब के मा'बैन तक़सीम होगी(आलमगीरी)

मसअ्ला.43:– बीज ग़सब कर के अपनी ज़मीन में बो दिये तो जब तक उगे न हों मालिक इजाज़त दे सकता है कि अभी बीज मौजूद हैं और उगने के बाद इजाज़त नहीं हो सकती कि बीज मौजूद नहीं(आलमगीरी)

मसअ्ला.44:– मालिके ज़मीन ने अपनी ज़मीन रहन रखी फिर वह ज़मीन मुरतहिन को मुज़ारअत पर देदी कि मुरतहिन अपने बीज से काश्त करेगा यह मुज़ारअत सहीह है मगर ज़मीन रहन से ख़ारिज होगई जब तक फिर से रहन न रखी जाये रहन में नहीं आयेगी।(आलमगीरी)

मसअ्ला.45:– ज़मीन किसी के पास रहन है उसको बतौर मुज़ारअत कोई शख़्स लेना चाहता है तो राहिन से ले सकता है जब कि मुरतहिन भी उसकी इजाज़त देदे।(आलमगीरी)

मसअ्ला.46:– ज़राअत तैयार होने से पहले जो कुछ काम होगा मस्लन खेत जोतना, बोना, पानी देना, हिफ़ाज़त करना वग़ैरा यह सब मुज़ारेअ् के ज़िम्मे है चाहे वह ख़ुद करे या मज़दूरों से कराये और दूसरी सूरत में मज़दूरी उसी के ज़िम्मे होगी और जो काम ज़राअत तैयार होने के बाद के हैं मस्लन खेत काटना उसे लाकर ख़िरमन में जमा करना, दायें चलाना, भूसा उड़ाना वग़ैरा उसके मुतअ़ल्लिक़ ज़ाहिरुर्रिवाया यह है कि दोनों के ज़िम्मे हैं क्योंकि मुज़ारेअ् का काम फ़स्ल तैयार होने पर ख़त्म होगया मगर इमाम अबूयूसुफ़ रहमतुल्लाहि तआ़ला से एक रिवायत यह है कि यह काम भी मुज़ारेअ् के ज़िम्मे हैं और बाज़ मशाइख़ ने इसी को इख़्तियार फ़रमाया कि मुसलमानों का उस पर अ़मल है। और जो काम तक़सीम के बाद है मस्लन ग़ल्ला मकान पर पहुँचाना यह बिल'इत्तिफ़ाक़ दोनों के ज़िम्मे है मुज़ारेअ् अपना ग़ल्ला ख़ुद लेजाये और मालिक अपना ग़ल्ला अपने घर लाये या दोनों अपने अपने मज़दूरों से उठवा लेजायें। (हिदाया) क़िस्मे दोम या'नी फ़स्ल तैयार होने के बाद जो काम हैं उनके मुतअ़ल्लिक़ मुज़ारेअ् के करने की शर्त करली तो यह शर्त सहीह है उसकी वजह से मुज़ारअत फ़ासिद नहीं होगी तन्वीर में इस क़ौल को असह (ज़्यादा सहीह) कहा और दुर्रेमुख़्तार में मुलतक़ी से इसी पर फ़तवा होना बताया। मगर हिन्दुस्तान में उमूमन यह होता है कि फ़सल तैयार होने के बाद मज़दूरों से काम कराते हैं और मज़दूरी उसी ग़ल्ले में से दी जाती है या'नी खेत काटने वाले और दायें चलाने वाले वग़ैरा को जो कुछ मज़दूरी दी जाती है वह कोई अपने पास से नहीं देता बल्कि उसी ग़ल्ले की कुछ मिक़दार मज़दूरी में दी जाती है यह तरीक़ा कि जिस काम को किया उसी में से मज़दूरी दीजाये अगर्चे ना'जाइज़ है जिसको हम इजारा में बयान कर चुके हैं मगर इस से इतना ज़रूर मालूम हुआ कि फ़स्ल की तैयारी के बाद जो काम किया जायेगा यहाँ के उ़र्फ़ के मुताबिक़ वह तन्हा मुज़ारेअ् के ज़िम्मे नहीं है बल्कि दोनों के ज़िम्मे है क्योंकि मज़दूरी में दोनों की मुश्तरक चीज़ दी जाती है।

मसअ्ला.47:– फ़स्ल तैयार होने के बाद के जो काम हैं अगर मालिके ज़मीन के ज़िम्मे शर्त किये गये यह बिल'इत्तिफ़ाक़ फ़ासिद है कि उसके मुतअ़ल्लिक़ उ़र्फ़ भी ऐसा नहीं जिस की वजह से

जाइज़ कहा जाये।(हिदाया)

मसअ्ला.48:– मुज़ारअ़त में जो कुछ ग़ल्ला है यह मुज़ारेअ् के पास अमानत है अगर्चे वह मुज़ारअ़ते फ़ासिदा हो लिहाज़ा अगर मुज़ारेअ् के पास हलाक होजाये मगर उस के फ़ेअ्ल से हलाक न हो तो मुज़ारेअ् के ज़िम्मे उस का तावान नहीं और उस ग़ल्ले की मुज़ारेअ् की तरफ़ से किसी ने किफ़ालत भी की यह किफ़ालत सहीह नहीं उस कफ़ील से मुतालबा नहीं किया जा सकता हाँ अगर मालिके ज़मीन के हिस्से की मुज़ारेअ् की तरफ़ से किसी ने यूँ कफ़ालत की कि अगर मुज़ारेअ् खुद हलाक कर देगा तो मैं ज़ामिन हूँ और यह किफ़ालत मुज़ारअ़त के लिये शर्त न हो तो मुज़ारअ़त भी जाइज़ है और किफ़ालत भी और अगर किफ़ालत शर्त हो तो मुज़ारअ़त फ़ासिद।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.49:– मुज़ारेअ् ने खेत को पानी देने में कोताही की जिस की वजह से ज़राअ़त बर्बाद हो गई अगर यह मुज़ारअ़ते फ़ासिदा है तो मुज़ारेअ् पर तावान नहीं कि इस में मुज़ारेअ् पर काम करना वाजिब नहीं और अगर मुज़ारअ़ते सहीहा है तो तावान वाजिब है कि उस में काम करना वाजिब था ज़मान की सूरत यह होगी कि ज़राअ़त उगी थी और पानी न देने से खुश्क होगई तो उस ज़राअ़त की जो क़ीमत हो उसका निस्फ़ ब'तौर तावान मालिके ज़मीन को दे और क़ीमत न हो तो ख़ाली खेत की क़ीमत और उस बोये हुए खेत में जो तफ़ावुत (फ़र्क़) हो उसका निस्फ़ तावान दिलाया जाये(दुर्रेमु0)

मसअ्ला.50:– काश्तकार ने पानी देने में ताख़ीर की अगर इतनी ताख़ीर है कि काश्तकारों के यहाँ इतनी ताख़ीर हुआ करती है जब तो तावान नहीं और ग़ैर मामूली ताख़ीर की तो तावान है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.51:– फ़स्ल काटना काश्तकार के ज़िम्मे शर्त था उसने काटने में देर की और फ़स्ल ज़ाइअ् होगई अगर मअ्मूली ताख़ीर है तो कुछ नहीं और ग़ैर मअ्मूली देर की तो तावान वाजिब यूंही अगर काश्तकार ने हिफ़ाज़त नहीं की जानवरों ने खेत चरलिया काश्तकार को तावान देना होगा। टिड्डियाँ खेत में गिरीं अगर उड़ाने पर क़ुदरत थी और न उड़ायीं और टिड्डियाँ खेत खागईं तावान है और अगर उसके बस की बात न थी तो तावान वाजिब नहीं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.52:– दो शख़्सों ने शिरकत में खेत बोया था एक शरीक उस में पानी देने से इन्कार करता है यह मुआ़मला हाकिम के पास पेश किया जाये उसके हुक्म देने के बाद भी अगर उसने पानी नहीं दिया और फ़स्ल मारी गई तो उस पर तावान है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.53:– मुज़ारअ़त में बीज मुज़ारेअ् के ज़िम्मे थे मगर मालिके ज़मीन ने ख़ुद उस खेत को बोया अगर उससे मक़सूद मुज़ारेअ् की मदद करना है जब तो मुज़ारअ़त बाक़ी रहेगी और यह मक़सूद न हो तो मुज़ारअ़त जाती रही।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.54:– किसी से इजारा पर ज़मीन ली मस्लन ज़मींदार से बोने के लिये खेत लिया फिर उस मालिक ज़मीन को उस में काम करने के लिये अजीर (मज़दूर) रखा यह जाइज़ है उजरत पर काम करने से ज़मीन के इजारे में कोई ख़राबी पैदा नहीं होगी।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.55:– एक शख़्स मर गया और उसने बीवी और ना'बालिग़ और बालिग़ औलादें छोड़ीं यह सब छोटे बड़े एक साथ रहते हैं और वह औ़रत सब की निगेहदाश्त करती है बड़े लड़कों ने ज़मीने मुश्तरक या दूसरे से ज़मीन लेकर उस में काश्त की और जो कुछ ग़ल्ला पैदा हुआ मकान पर लाये और यकजाई तौर पर सब के ख़र्च में आया जैसा कि उ़मूमन देहातों में ऐसा होता है। यह ग़ल्ला आया मुश्तरक क़रार पायेगा या सिर्फ़ बड़े लड़कों का होगा जिन्होंने काश्त की उसका हुक्म यह है कि अगर मुश्तरक बीज बोये गये हैं और सब की इजाज़त से बोये हैं यानी जो उन में बालिग़ हैं उन से इजाज़त हासिल कर ली है और जो ना'बालिग़ हैं उनके वसी से इजाज़त लेली है तो पैदावार मुश्तरक है और अगर बड़ों ने ख़ुद अपने बीज से काश्त की है या मुश्तरक से की है मगर इजाज़त नहीं ली है तो ग़ल्ला उन का काश्त करने वालों का है दूसरे उस में शरीक नहीं।(आलमगीरी)

मुआ़मला या मुसाक़ात का बयान

बाग़ या दरख़्त किसी को इस लिये देना कि उसकी ख़िदमत करे और जो कुछ उस से पैदावार होगी उसका एक हिस्सा काम करने वाले को और एक हिस्सा मालिक को दिया जायेगा उस को मुसाक़ात कहते हैं और उसका दूसरा नाम मुआ़मला भी है जिस तरह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु

तआला अलैहि वसल्लम ने फ़तहे ख़ैबर के बाद वहाँ के बाग़ात यहूदियों को दे दिये थे कि उन बाग़ात के काम करें और जो कुछ फल होंगे उन में से निस्फ़ उन को दिये जायेंगे जिस तरह मुज़ारअत जाइज़ है मुआमला भी जाइज़ है और उस के जवाज़ के शराइत यह हैं। (1)आक़िदैन का आक़िल होना (2)जो पैदावार हो वह दोनों में मुश्तरक हो और अगर फ़क़त एक के लिये पैदावार मख़्सूस कर दी गई तो अक़्दे फ़ासिद है। (3)हर एक का हिस्सा मुशाअ् हो जिस की मिक़दार मालूम हो मस्लन निस्फ़ या तिहाई या चौथाई। (4)बाग़ या दरख़्त आमिल को सिपुर्द कर देना यानी मालिक का क़ब्ज़ा उस पर न रहे और अगर यह क़रार पाया कि मालिक भी उस में काम करेगा तो मुआमला फ़ासिद है। (5)जो दरख़्त मुसाक़ात के तौर पर दिये गये वह ऐसे हों कि आमिल के काम करने से उस में ज़्यादती होसके यानी अगर फल पूरे हो चुके, जितना बढ़ना बढ़ चुके सिर्फ़ पकना ही बाक़ी रह गया है तो यह अक़्द सहीह नहीं। बाज़ शराइत ऐसे हैं जिनकी वजह से मुआमला फ़ासिद हो जायेगा मस्लन यह कि कुल पैदावार एक को मिलेगी या पैदावार में से इतना मालिक या आमिल लेगा उसके बाद निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम होगी। आमिल के ज़िम्मे फल तोड़ना वग़ैरा जो काम फल तैयार होने के बाद होते हैं शर्त कर देना या यह कि तक़सीम के बाद आमिल उन की हिफ़ाज़त करे या मालिक के मकान पर पहुँचाये ऐसे किसी काम की शर्त कर देना जिस की मन्फ़अत मुद्दते मुआमला पूरी होने के बाद बाक़ी रहे मस्लन पेड़ों में खाद डालना अंगूरों के लिये छप्पर बनाना बाग़ की ज़मीन खोदना या उन में नये पौधे लगाना वग़ैरा।

मसअ्ला.1:– मुआमला उन्हीं पेड़ों का हो सकता है जो एक साल या ज़्यादा तक बाक़ी रह सकें और जो ऐसे नहीं हैं उन का मुआमला जाइज़ नहीं। बैंगन और मिर्च के दरख़्तों में मुआमला हो सकता है कि यह मुद्दतों बाक़ी रहते और फलते रहते हैं।(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.2:– दरख़्तों के सिवा मस्लन बकरियाँ या मुर्ग़ियाँ किसी मुद्दत तक के लिये बतौर मुआमला किसी को दीं यह ना'जाइज़ है।(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.3:– ऐसे दरख़्त जो फलते न हों और उनकी शाख़ों और पत्तों से नफ़अ् उठाया जाता हो। जैसे सेंठे, नरकुल, बेद वग़ैरा अगर ऐसे दरख़्तों में पानी देने और हिफ़ाज़त करने की ज़रूरत होती हो तो मुआमला हो सकता है वरना नहीं।(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.4:– मुज़ारअत और मुआमला में बाज़ बातों में फ़र्क़ है। मुआमला अक़्दे लाज़िम है दोनों में से कोई भी उस से इन्हिराफ़ नहीं कर सकता (यानी फिर नहीं सकता) हर एक को पाबन्दी पर मजबूर किया जायेगा अगर मुद्दत पूरी होगई और फल तैयार नहीं हैं तो बाग़ आमिल ही के पास रहेगा और उन ज़ाइद दिनों की उसे उजरत नहीं मिलेगी और आमिल को भी बिला उजरत इतने दिनों काम करना होगा और मुज़ारअत में मालिके ज़मीन उतने दिनों की उजरत लेगा और मुज़ारेअ् भी उन ज़ाइद दिनों के काम की उजरत लेगा।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.5:– मुआमला में मुद्दत बयान करना ज़रूर नहीं बिग़ैर बयाने मुद्दत भी मुआमला सही है और इस सूरत में पहली मरतबा फल तैयार होने पर मुआमला ख़त्म होगा और तरकारियों में भी तैयार होने पर ख़त्म होगा जबकि बीज मक़सूद हों वरना ख़ुद तरकारियों की पहली फ़सल होजाने पर मुआमला ख़त्म होगा और अगर मुद्दत ज़िक्र नहीं की गई और उस साल फल पैदा ही न हुये तो मुआमला फ़ासिद है।(दुर्रेमुख़्तार, हिदाया)

मसअ्ला.6:– मुआमला में मुद्दत ज़िक्र हुई मगर मालूम है कि उस मुद्दत में फल नहीं पैदा होंगे तो मुआमला फ़ासिद है और अगर ऐसी मुद्दत ज़िक्र की जिस में एहतिमाल है कि फल पैदा हों या न हों तो मुआमला सहीह है फिर उस सूरत में अगर फल आगये तो जो शराइत हैं उन पर अमल होगा और अगर उस मुद्दत में नहीं आये बल्कि मुद्दत पूरी होने के बाद फल आये तो मुआमला फ़ासिद है और इस सूरत में आमिल को उजरते मिस्ल मिलेगी यानी इब्तिदा से फल तैयार होने तक की उजरते मिस्ल पायेगा और अगर इस सूरत में कि मुद्दत मज़कूर हुई और यह एहतिमाल था कि फल

आयेंगे मगर उस साल बिल्कुल फल नहीं आये न मुद्दत न बादे मुद्दत तो आमिल को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि यह मुआमला सहीह है फासिद नहीं है कि उजरते मिस्ल दिलाई जाये और अगर उस मुद्दते'मुअय्यिना (खास मुद्दत) में कुछ फल निकले कुछ बाद में निकले तो जो फल मुद्दत के अन्दर पैदा हुये उन में आमिल को हिस्सा मिलेगा बाद वालों में नहीं।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.7:– नये पौधे जो अभी फलने के काबिल नहीं हैं बतौर मुआमला दिये कि आमिल उस में काम करे जब फल आयेंगे तो दोनों निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम कर लेंगे यह मुआमला फ़ासिद है क्योंकि यह मालूम नहीं कितने दिनों में फल आयें ज़मीन मुवाफ़िक़ है तो जल्द फलेंगे ना'मुवाफ़िक़ है तो देर में फलेंगे हाँ अगर मुद्दत ज़िक्र करदी जाये और वह इतनी हो कि उन में फलने का एहतिमाल हो तो मुआमला सहीह है।(हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– तरकारियों के दरख़्त मुआमला के तौर पर दिये कि जब तक फलते रहें काम करो और इतना हिस्सा तुम को मिला करेगा यह मुआमला फ़ासिद है यूंही बाग़ दिया और कहदिया कि जब तक यह फलता रहे काम करो और निस्फ़ लिया करो यह मुआमला फ़ासिद है कि मुद्दत न बयान करने की सूरत में सिर्फ़ पहली फ़स्ल पर मुआमला होता है।(हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– तरकारियों के दरख़्त का मुआमला किया और अब उन में से तरकारियों के निकलने का वक़्त ख़त्म होचुका बीज लेने का वक़्त बाक़ी है जैसे मेथी, पालक, सोया वग़ैरा जब इस हद को पहुँच जायें कि उन से साग नहीं लिया जा सकता बीज लिये जा सकते हैं और यह बीज काम के हों उन की ख़्वाहिश होती हो और आमिल से कह दिया कि काम करे आधे बीज उसे मिलेंगे यह मुआमला सहीह है अगर्चे मुद्दत न ज़िक्र की जाये और इस सूरत में वह पेड़ मालिक के होंगे सिर्फ़ बीजों की तक़सीम होगी और अगर पेड़ों की तक़सीम भी मशरूत हो तो मुआमला फ़ासिद है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– दरख़्तों में फल आ चुके हैं उन को मुआमला के तौर पर देना चाहता है मगर अभी वह फल तैयार नहीं हैं आमिल के काम करने से उन में ज़्यादाती होगी तो मुआमला सहीह है और अगर फल बिल्कुल पूरे हो चुके हैं अब उन के बढ़ने का वक़्त ख़त्म हो चुका तो मुआमला सहीह नहीं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– किसी को ख़ाली ज़मीन दी कि उस में दरख़्त लगाये फल और दरख़्त दोनों निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम हो जायेंगे यह जाइज़ है और अगर यह ठहरा है कि ज़मीन व दरख़्त दोनों चीज़ें दोनों के मा'बैन तक़सीम होंगी तो यह मुआमला ना'जाइज़ है और इस सूरत में फल और दरख़्त मालिके ज़मीन के होंगे और दूसरे को पौधों की क़ीमत मिलेगी और उजरते मिस्ल और क़ीमत से मुराद उस रोज़ की क़ीमत है जिस दिन लगाये गये।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– किसी शख़्स के बाग़ से गुठली उड़ कर दूसरे की ज़मीन में चली गई और यहाँ जम गई और पेड़ होगया जैसा कि ख़ुदरो (खुद उगे हुए) दरख़्तो में अकस़र यही होता है कि इधर उधर से बीज आकर जम जाता है यह दरख़्त उस का है जिस की ज़मीन है उस का नहीं है जिस की गुठली है क्योंकि गुठली की कोई क़ीमत नहीं है उसी तरह शफ़तालू या आम या उसी क़िस्म के दूसरे फल अगर दूसरे की ज़मीन में गिरे और उग गये यह दरख़्त भी मालिके ज़मीन के होंगे कि पहले यह फल सड़ेंगे उसके बाद जमेंगे और जब सड़ कर ऊपर का हिस्सा जाता रहा तो फ़क़त गुठली बाक़ी रही जिस की कोई क़ीमत नहीं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.13:– मुआमला–ए–सहीहा के अहकाम हस्बे ज़ैल हैं दरख़्तों के लिये जिन कामों की ज़रूरत है मसलन नालियां ठीक करना, दरख़्तों को पानी देना उन की हिफ़ाज़त करना यह सब काम आमिल के ज़िम्मे हैं और जिन चीज़ों में ख़र्च की ज़रूरत होती है मसलन ज़मीन को खोदना, उस में खाद डालना, अंगूर की बेलों के लिये छप्पर बनवाना, यह ब'क़द्र हसस़ (हिस्से के मुताबिक़) दोनों के ज़िम्मे हैं उसी तरह फल तोड़ना जो कुछ फल पैदा हों वह हस्बे क़रार दाद दोनों तक़सीम करलें

कुछ पैदा न हुआ तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। यह अक़्द दोनों जानिब से लाज़िम होता है बादे अक़्द दोनों में से किसी को बिग़ैर उज़्र मनअ् का इख़्तियार नहीं और न बिग़ैर दूसरे की रज़ामन्दी के फ़स्ख़ कर सकता है। आमिल को काम करने पर मजबूर किया जायेगा मगर जबकि उज़्र हो। जो कुछ तरफ़ैन के लिए मुक़र्रर हुआ है उस में कमी बेशी भी हो सकती है आमिल को यह इख़्तियार नहीं कि दूसरे को मुआमला के तौर पर देदे मगर जबकि मालिक ने यह कह दिया हो कि तुम अपनी राय से काम करो।(आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– मुआमला–ए–फ़ासिदा के अहकाम यह हैं आमिल काम करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। जो कुछ पैदावार हो वह कुल मालिक की है और उस पर यह ज़रूर नहीं कि उस में का कोई जुज़ सदक़ा करे। आमिल के लिए उजरते मिस्ल वाजिब है पैदावार हो या न हो और उस में वही साहेबैन का इख़्तिलाफ़ है कि पूरी उजरते मिस्ल अगर्चे मुक़र्रर से ज़्यादा हो वाजिब है या यह कि मुक़र्रर शुदा से ज़ाइद न होने पाये और अगर हिस्से की तय न हुई हो तो बिल'इत्तिफ़ाक़ पूरी उजरते मिस्ल वाजिब है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– आमिल अगर चोर है उस का चोर होना लोगों को मालूम है अन्देशा है कि फलों को चुरायेगा तो मुआमला को फ़स्ख़ किया जा सकता है यूंही अगर आमिल बीमार होगया कि पूरी तरह काम न कर सकेगा मुआमला फ़स्ख़ किया जा सकता है। दोनों में से एक के मरजाने से मुआमला खुद ही फ़स्ख़ होजाता है और इसी तरह मुद्दत का पूरा होना भी सबबे फ़स्ख़ है जब कि उन दोनों सूरतों में फल तैयार न हुये हों।(दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– मरने की सूरत में अगर्चे मुआमला फ़स्ख़ होजाता है मगर दफ़्अे ज़रर (नुक़सान दूर करने) के लिये अक़्द को फल तैयार होने तक बाक़ी रखा जायेगा लिहाज़ा आमिल के मरने के बाद उस के वुरसा अगर यह चाहें कि फल तैयार होने तक हम काम करेंगे तो उन को ऐसा मौक़ा दिया जायेगा अगर्चे मालिक ज़मीन उन को देने से इन्कार करता हो। और अगर वुरसा काम करना न चाहते हों, कहते हों कि कच्चे ही फल तोड़कर तक़सीम कर दिये जायें तो उनको काम करने पर मजबूर नहीं किया जायेगा बल्कि इस सूरत में मालिक को इख़्तियार दिया जायेगा कि यह भी अगर यही चाहता हो तो तोड़कर तक़सीम करलें या वुरसा पर आमिल को उन के हिस्से की क़ीमत देदे या खुद अपने सर्फ़ा से काम कराये और तैयार होने के बाद सर्फ़ा उन के हिस्से से मिन्हा (कटौती) कर के बाक़ी फल उन को देदे।(हिदाया, दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.17:– दो शख़्श बाग़ में शरीक हैं एक ने दूसरे को बतौर मुआमला देदिया यह मुआमला फ़ासिद है जब कि आमिल को निस्फ़ से ज़्यादा देना क़रार पाया और इस सूरत में दोनों निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम करलें और अगर यह शर्त ठहरी है कि दोनों निस्फ़ निस्फ़ लेंगे तो मुआमला जाइज़ है।(दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.18:– दो शख़्सों को मुआमला पर दिया और यह ठहरा कि तीनों एक एक तिहाई लेंगे यह जाइज़ है और अगर यह ठहरा कि मालिक एक तिहाई लेगा और एक आमिल निस्फ़ लेगा और दूसरा आमिल छठा हिस्सा लेगा यह भी जाइज़ है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.19:– दो शख़्सों का बाग़ है उसे मुआमला पर दिया यूँ कि निस्फ़ आमिल लेगा और निस्फ़ में वह दोनों यह जाइज़ है और अगर यह शर्त हुई कि निस्फ़ एक हिस्सादार लेगा और दूसरे निस्फ़ में आमिल और दूसरा हिस्सादार दोनों शरीक होंगे यह ना'जाइज़ है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.20:– काश्तकार ने बिग़ैर इजाज़त ज़मीनदार पेड़ लगा दिया जब दरख़्त बड़ा होगया तो ज़मीनदार कहता है मेरा है और काश्तकार कहता है मेरा है अगर ज़मीनदार ने यह इक़रार कर लिया है कि काश्तकार ही ने लगाया है और पौधा भी उसी का था तो काश्तकार को मिलेगा मगर दियानतन उस के लिये यह दरख़्त जाइज़ नहीं क्योंकि बिग़ैर इजाज़त लगाया है और अगर इजाज़त लेकर लगाता और मालिके ज़मीन शिरकत की भी शर्त न करता तो काश्तकार के लिये

दियानतन भी जाइज़ होता।(आलमगीरी)

मसअला.21:– गाँव के बच्चों को मुअल्लिम पढ़ाता है गाँव के लोगों ने इस बात पर इत्तिफ़ाक़ किया कि मियाँ जी के लिये खेत बोदिया जाये थोड़े थोड़े बीज सब ने दिये और मियाँ जी के लिये खेत बोदिया गया तो जो कुछ पैदावार हुई वह उन की मिल्क है जिन्होंने बीज दिये हैं मुअल्लिम की मिल्क नहीं क्योंकि बीज उन्होंने मुअल्लिम को दिया नहीं था कि मुअल्लिम मालिक होजाता हाँ अगर पैदावार मुअल्लिम को देदें तो मुअल्लिम मालिक होजायेगा।(आलमगीरी)

मसअला.22:– ख़रबूज़ा या तरबूज़ की पालेज़ मालिक ने फल तोड़ने के बाद छोड़दी अगर छोड़ने का यह मक़सद है कि जिसका जी चाहे वह बाक़ी फलों को ले जाये तो लोगों को उसके फल लेना जाइज़ है जैसा कि उमूमन आख़िर फ़स्ल में ऐसा किया करते हैं। उसी तरह खेत कटने के बाद जो कुछ बालें या दाने गिरते हैं अगर मालिक ने लोगों के लिये छोड़दिये तो लेना जाइज़ है।(आलमगीरी)

मसअला.23:– आमिल पर लाज़िम है कि अपने को हराम से बचाये मसलन बाग़ के दरख़्त ख़ुश्क होगये तो उन का जलाना आमिल के लिये जाइज़ नहीं यूंही सूखी शाख़ें तोड़कर उन से खाना पकाना जाइज़ नहीं यूंही छप्पर थुनियाँ और उस के बांस, फूंस को जलाना जाइज़ नहीं यूहीं मेहमान या मुलाक़ाती आ जायें तो फलों से उस की तवाजोअ़ जाइज़ नहीं उन सब में मालिक की इजाज़त दरकार है।(आलमगीरी)

ज़बह का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है।

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْأَزْلَامِ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ﴾

"तुम पर हराम है मुर्दार और ख़ून और सुअर का गोश्त और जिस के ज़बह में ग़ैरे ख़ुदा का नाम पुकारा गया और जो गला घोंटने से मर जाये और दब कर मरा हुआ यानी बे धार की चीज़ से मारा हुआ और जो गिर कर मरा हो और जिस को किसी जानवर ने सींग मारा हो और जिस को दरिन्दे ने कुछ खा लिया हो मगर जिन्हें तुम ज़बह करलो और जो किसी थान पर ज़िबह किया गया हो और तीरों से तक़दीर को मालूम करना यह गुनाह का काम है"।

और फ़रमाता है।

﴿اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ﴾

"आज तुम्हारे लिए पाक चीज़ें हलाल हुईं और किताबियों का खाना (ज़बीहा) तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा खाना उन के लिए हलाल है"।

और फ़रमाता है।

﴿فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ۝ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾

"खाओ उस में से जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया अगर तुम उस की आयतों पर ईमान रखते हो और तुम्हें क्या हुआ कि उस में से न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया और उसने तो मुफ़स्सल बयान कर दिया जो कुछ तुम पर हराम है मगर जब तुम उसकी तरफ़ मजबूर हो"

और फ़रमाता है।

﴿وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهٗ لَفِسْقٌ﴾

"और उसे न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया और वह बेशक हुक्म उदूली है"।

हदीस (1) सहीह मुस्लिम में है हज़रत मौला अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से दरयाफ़्त किया गया कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आप लोगों को कोई ख़ास बात ऐसी बताई है जो आम लोगों को न बताई हो फ़रमाया कि नहीं मगर सिर्फ़ वह बातें जो मेरी तलवार की म्यान में हैं फिर म्यान में से एक पर्चा निकाला जिस में यह था अल्लाह की लअ़नत उस पर जो ग़ैर ख़ुदा के नाम पर ज़बह करे और अल्लाह की लअ़नत उस पर जो ज़मीन की मेंढ बदल दे (जैसा कि बाज़ काश्तकार करते हैं कि खेत की मेंढ जगह से हटा देते हैं) और अल्लाह की लअ़नत उस पर जो अपने बाप पर लअ़नत करे। और अल्लाह की लअ़नत उस पर जो बद मज़हब को पनाह दे।

हदीस (2) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में राफ़ेअ़ इब्ने ख़दीज रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है

कहते हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हमें कल दुश्मन से लड़ना है और हमारे पास छुरी नहीं है क्या हम खपच्ची (बांस का चिरा हुआ टुकड़ा) से ज़बह कर सकते हैं फ़रमाया जो चीज़ खून बहादे और अल्लाह का नाम लिया गया हो उसे खाओ सिवा दांत और नाखून के (जो जुदा न हों) और उसे मैं बताता हूँ दांत तो हड्डी है और नाखून हब्शियों की छुरी है। और गनीमत में हम को ऊँट और बकरियाँ मिली थीं उन में से एक ऊँट भाग गया एक शख़्स ने उसे तीर मार कर गिरा दिया हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया उन ऊँटों में बाज़ ऊँट वहशी जानवरों की तरह हो जाते हैं जब तुम को उस पर काबू न मिले तो उस के साथ यही करो।

हदीस् (3) सहीह बुख़ारी शरीफ़ में कअ्ब इब्ने मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी उन की बकरियाँ सलअ् (मदीना मुनव्वरा में एक पहाड़ी का नाम है) में चरती थीं लोन्डी (जो बकरियाँ चराती थी) उस ने देखा कि एक बकरी मरना चाहती है उस ने पत्थर तोड़कर उस से ज़बह कर दी उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दरयाफ़्त किया हुज़ूर ने उस के खाने का हुक्म दिया।

हदीस् (4) अबूदाऊद व नसाई ने अदी इब्ने हातिम रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह यह फ़रमाईये किसी को काश्तकार मिले और उस के पास छुरी न हो तो पत्थर और लाठी की खपच्ची से ज़बह कर सकता है फ़रमाया "जिस चीज़ से चाहो खून बहा दो और अल्लाह का नाम ज़िक्र करो"।

हदीस् (5) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व नसाई अबुलउशरा और वह अपने वालिद से रावी उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्या ज़कात (जबहे शरई) हलक़ और लिब्बा (सीने का ऊपरी हिस्सा) ही में होती है फ़रमाया "अगर तुम उस की रान में नेज़ा भोंक दो तो भी काफ़ी है"। ज़बह की यह सूरत मजबूरी और ज़रूरत की हालत में है जैसा कि अबूदाऊद व तिर्मिज़ी ने भी उस की तस्रीह की है।

हदीस् (6) तिर्मिज़ी ने अबूदर्दा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुजस्समा के खाने से मनअ् फ़रमाया। मुजस्समा वह जानवर है जिस को बाँध कर तीर मारा जाये और वह मरजाये।

हदीस् (7) अबूदाऊद ने इब्ने अब्बास व अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हुम से रिवायत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शरीततुश्शैतान से मुमानअत फ़रमाई यह वह ज़बीहा है जिस की खाल काटी जाये और रगें न काटी जायें और छोड़ दिया जाये यहाँ तक कि मर जाये।

हदीस् (8) सहीह बुख़ारी में हज़रत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि लोगों ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह यहाँ कुछ लोग अभी नये मुसलमान हुए हैं और वह हमारे पास गोश्त लाते हैं हमें मालूम नहीं कि अल्लाह का नाम उन्होंने ज़िक्र किया है या नहीं। फ़रमाया कि "तुम बिस्मिल्लाह कहो और खाओ"। यानी मुस्लिम की ज़बीहा में इस क़िस्म के एहतिमालात (शक) न किये जायें।

हदीस् (9) सहीह मुस्लिम में शद्दाद इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ में खूबी करना लिख दिया है लिहाज़ा क़त्ल करो तो इस में भी खूबी का लिहाज़ रखो (यानी बे सबब उस को ईज़ा मत पहुँचाओ) ज़बह करो तो ज़बह में खूबी करो और अपनी छुरी को तेज़ करले और ज़बीहा को तकलीफ़ न पहुँचाये।

हदीस् (10) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने चौपाया या उस के सिवा दूसरे जानवर को बाँध कर उस को तीर से क़त्ल करने की मुमानअत फ़रमाई।

हदीस् (11) सहीहैन में उन्हीं से मरवी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस पर लअ्नत की जिस ने ज़ी रूह को निशाना बनाया।

हदीस् (12) सहीह मुस्लिम में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी नबी करीम

सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिस में रूह हो उसको निशाना न बनाओ"।

मसअला.1:– गले में चन्द रगें हैं उन के काटने को ज़बह कहते हैं और उस जानवर को जिस की वह रगें काटी गई ज़बीहा और ज़िबह कहते हैं। यहाँ ज़ाल को ज़ेर है और पहली जगह ज़बर है।

मसअला.2:– बाज़ जानवर ज़बह किये जा सकते हैं बाज़ नहीं। जो शरअन ज़बह नहीं किये जा सकते हैं उन में यह दो मछली और टिड्डी बिग़ैर ज़बह हलाल हैं और जो ज़बह किये जा सकते हैं वह बिग़ैर ज़काते शरई हलाल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार) ज़काते शरई का यह मतलब है कि जानवर को इस तरह नहर या ज़बह किया जाये कि हलाल हो जाये।

मसअला.3:– ज़काते शरई दो क़िस्म है **1.इख़्तियारी** और **2.इज़्तिरारी**। ज़काते इख़्तियारी की दो क़िस्में हैं ज़बह और नहर। ज़काते इज़्तिरारी यह है कि जानवर के बदन में किसी जगह नेजा वग़ैरा भोंककर ख़ून निकाल दिया जाये उस से मखसूस सूरतों में जानवर हलाल होता है जो बयान की जायेंगी। हलक़ के आख़िरी हिस्से में नेज़ा वग़ैरा भोंक कर रगें काट देने को नहर कहते हैं। ज़बह की जगह हलक़ और लिबा के माबैन है लिबा सीने के ऊपरी हिस्से को कहते हैं। ऊँट को नहर करना और गाय, बकरी वग़ैरा को ज़बह करना सुन्नत है और अगर इस का अक्स किया यानी ऊँट को ज़बह किया और गाय वग़ैरा को नहर किया तो जानवर इस सूरत में भी हलाल हो जायेगा मगर ऐसा करना मकरूह है कि सुन्नत के ख़िलाफ़ है।(आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.4:– अवाम में यह मशहूर है कि ऊँट को तीन जगह ज़बह किया जाता है गलत है और यूँ करना मकरूह है कि बिला फ़ायदा ईज़ा देना है।

मसअला.5:– जो रगें ज़बह में काटी जाती हैं वह चार हैं। **हुल्कूम** यह वह है जिस में सांस आती जाती है **मरी** उस से खाना पानी उतरता है इन दोनों के अग़ल बग़ल और दो रगें हैं जिन में ख़ून की रवानी है उन को **वुदजैन** कहते हैं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.6:– पूरा हुलकूम ज़बह की जगह है यानी उसके अअ्ला औसत असफ़ल जिस जगह में ज़बह किया जाये जानवर हलाल होगा। आजकल चूंकि चमड़े का नर्ख ज़्यादा है और यह वज़न या नाप से फ़रोख़्त होता है इस लिये क़स्साब इस की कोशिश करते हैं कि किसी तरह चमड़े की मिक़दार बढ़ जाये और उस के लिये यह तर्कीब करते हैं क़ि बहुत ऊपर से ज़बह करते हैं और इस सूरत में ऐसा भी हो सकता है कि यह ज़बह फ़ौकुलउ़क़दा (गले की उभरी हुई हड्डी से ऊपर जबह) हो जाये और इस में उ़लमा को इख़्तिलाफ़ है कि जानवर हलाल होगा या नहीं इस बाब में क़ौले फ़ैसल यह है कि ज़बह फ़ौकुलउ़क़दा में अगर तीन रगें कट जायें तो जानवर हलाल है वरना नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार) उ़लमा का यह इख़्तिलाफ़ और रगों के कटने में एहतिमाल देखते हुए एहतियात ज़रूरी है कि यह मुआ़मला हिल्लत व हुरमत का है और ऐसे मक़ाम पर एहतियात लाज़िम होती है।

मसअला.7:– ज़बह की चार रगों में से तीन का कट जाना काफ़ी है यानी इस सूरत में भी जानवर हलाल हो जायेगा कि अकस्र के लिये वही हुक्म है जो कुल के लिये है और अगर चारों में से हर एक का अकस्र हिस्सा कट जायेगा जब भी हलाल हो जायेगा और अगर आधी आधी हर रग कट गई और आधी बाक़ी है तो हलाल नहीं। (आलमगीरी)

मसअला.8:– ज़बह से जानवर हलाल होने के लिए चन्द शर्तें हैं। **(1)**ज़बह करने वाला आ़क़िल हो। मजनून या इतना छोटा बच्चा जो बे अ़क़्ल हो उनका ज़बह जाइज़ नहीं और अगर छोटा बच्चा ज़बह को समझता हो और इस पर क़ुदरत रखता हो तो उस का ज़बीहा हलाल है। **(2)**ज़बह करने वाला मुस्लिम हो या किताबी। मुश्रिक और मुर्तद का ज़बीहा हराम व मुर्दार है। किताबी अगर ग़ैर किताबी होगया तो अब इस का ज़बीहा हराम है और ग़ैर किताबी किताबी होगया तो इस का ज़बीहा हलाल है और मआज़ल्लाह मुसलमान अगर किताबी होगया तो इस का ज़बीहा हराम है कि यह मुर्तद है। लड़का ना'बालिग़ ऐसा है कि उस के वालिदैन में एक किताबी है और एक ग़ैर

किताबी तो इस को किताबी क़रार दिया जायेगा और इस का ज़बीहा हलाल समझा जायेगा।

मसअला.9:– किताबी का ज़बीहा उस वक़्त हलाल समझा जायेगा जब मुसलमान के सामने ज़बह किया हो और यह मालूम हो कि अल्लाह का नाम लेकर ज़बह किया और अगर ज़बह के वक़्त उस ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिया और मुसलमान के इल्म में यह बात है तो जानवर हराम है और अगर मुसलमान के सामने उस ने ज़बह नहीं किया और मालूम नहीं कि क्या पढ़कर ज़बह किया जब भी हलाल है। **(3)**अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के नाम के साथ ज़बह करना। ज़बह करने के वक़्त अल्लाह तआला के नामों में से कोई नाम ज़िक्र करे जानवर हलाल हो जायेगा यही ज़रूरी नहीं कि लफ़्ज़े अल्लाह ही ज़बान से कहे।

मसअला.10:– तन्हा नाम ही ज़िक्र करे या नाम के साथ सिफ़त भी ज़िक्र करे दोनों सूरतों में जानवर हलाल हो जाता है मसलन अल्लाहु अकबर,अल्लाहु अअ्ज़म,अल्लाहु अजल्ल, अल्लाहुर्रहमान, अल्लाहुर्रहीम या सिर्फ़ अल्लाह या अर्रहमान या रहीम कहे उसी तरह सुब्हानल्लाह या अल्हमदु लिल्लाह या लाइला'ह इल्लल्लाह पढ़ने से भी हलाल होजायेगा। अल्लाह अज्ज व जल्ल का नाम अरबी के सिवा दूसरी ज़बान में लिया जब भी हलाल होजायेगा।(आलमगीरी) **(4)**खुद ज़बह करने वाला अल्लाह अज्ज व जल्ल का नाम अपनी ज़बान से कहे अगर यह खुद ख़ामोश रहा दूसरों ने नाम लिया और उसे याद भी था भूला न था तो जानवर हराम है। **(5)**नामे इलाही लेने से ज़बह पर नाम लेना मक़सूद हो और अगर किसी दूसरे मक़सद के लिये बिस्मिल्लाह पढ़ी और साथ लगे ज़बह कर दिया और उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ना मक़सूद नहीं है तो जानवर हलाल न हुआ मसलन छींक आई और इस पर अल्हमदु लिल्लाह कहा और जानवर ज़बह कर दिया उस पर नामे इलाही ज़िक्र करना मक़सूद न था बल्कि छींक पर मक़सूद था जानवर हलाल न हुआ। **(6)**ज़बह के वक़्त ग़ैरे ख़ुदा का नाम न ले। **(7)**जिस जानवर को ज़बह किया जाये वह वक़्ते ज़बह ज़िन्दा हो अगर्चे उस की हयात का थोड़ा ही हिस्सा बाक़ी रह गया हो। ज़बह के बाद ख़ून निकलना या जानवर में हरकत पैदा होना यूँ ज़रूरी है कि उस से उस का ज़िन्दा होना मालूम होता है।

मसअला.11:– बकरी ज़बह की और ख़ून निकला मगर उस में हरकत पैदा न हुई अगर वह ऐसा ख़ून है जैसे ज़िन्दा जानवर में होता है हलाल है। बीमार बकरी ज़बह की सिर्फ़ उस के मुँह को हरकत हुई और अगर वह हरकत यह है कि मुँह खोल दिया तो हराम है और बन्द कर लिया तो हलाल है और आँखें खोल दीं तो हराम और बन्द करलीं तो हलाल और पाँव फैला दिये तो हराम और समेट लिये तो हलाल और बाल खड़े न हुए तो हराम और खड़े हो गये तो हलाल यानी अगर सहीह तौर पर उस के ज़िन्दा होने का इल्म न हो तो उन अलामतों से काम लिया जाये और अगर ज़िन्दा होना यक़ीनन मालूम है तो उन चीज़ों का ख़याल नहीं किया जायेगा बहर हाल जानवर हलाल समझा जायेगा।(आलमगीरी)

मसअला.12:– ज़बह हर उस चीज़ से कर सकते हैं जो रगें काट दे और ख़ून बहादे यह ज़रूर नहीं कि छुरी ही से ज़बह करें बल्कि खपच्ची और धारदार पत्थर से भी ज़बह हो सकता है सिर्फ़ नाख़ून और दाँत से ज़बह नहीं कर सकते जबकि यह अपनी जगह पर क़ाइम हों और अगर नाख़ून काट कर जुदा कर लिया हो या दांत अलाहिदा होगया हो तो इस से अगर्चे ज़बह होजायेगा मगर फिर भी उस की मुमानअत है कि जानवर को इस से अज़ीयत (तकलीफ़) होगी उसी तरह कुन्द छुरी से भी ज़बह करना मकरूह है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.13:– मुस्तहब यह है कि जानवर को लिटाने से पहले छुरी तेज़ करें और लिटाने के बाद छुरी तेज़ करना मकरूह है यूंही जानवर को पाँव पर घसीटते हुए मज़बह (जानवर ज़बह करने की जगह) को लेजाना भी मकरूह है।

मसअला.14:– इस तरह ज़बह करना कि छुरी हराम मग़्ज़ तक पहुँच जाये या सर कटकर जुदा हो

जाये मकरूह है मगर वह ज़बीहा खाया जायेगा यानी कराहत उस फ़ेअ्ल में है न कि ज़बीहा में (हिदाया) आम लोगों में यह मशहूर है कि ज़बह करने में अगर सर जुदा होजाये तो इस सर का खाना मकरूह है यह कुतुबे फ़िक़्ह में नज़र से नहीं गुज़रा बल्कि फ़ुक़्हा का यह इरशाद कि ज़बीहा खाया जायेगा इस से यही साबित होता है कि सर भी खाया जायेगा।

मसअ्ला.15:– हर वह फ़ेअ्ल जिस से जानवर को बिला फ़ायदा तकलीफ़ पहुँचे मकरूह है मस्लन जानवर में अभी हयात बाक़ी हो ठन्डा होने से पहले उस की खाल उतारना उस के अअ्ज़ा काटना या ज़बह से पहले उसके सर को खींचना कि रगें ज़ाहिर होजायें या गर्दन को तोड़ना युहीं जानवर को गर्दन की तरफ़ से ज़बह करना मकरूह है बल्कि इस की बाज़ सूरतों में जानवर हराम होजायेगा।(हिदाया)

मसअ्ला.16:– सुन्नत यह है कि ज़बह करते वक़्त जानवर का मुँह क़िब्ला को किया जाये और ऐसा न करना मकरूह है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– अगर जानवर शिकार हो तो ज़रूर है कि ज़बह करने वाला हलाल हो यानी एहराम न बांधे हुए हो और ज़बह करना बैरूने हरम हो लिहाज़ा मुहरिम (हालते एहराम में) का ज़बह किया हुआ जानवर हराम है ओर हरम में शिकार को ज़बह किया तो ज़बह करने वाला मुहरिम हो या हलाल दोनों सूरतों में जानवर हराम है और अगर वह जानवर शिकार न हो बल्कि पलाऊ हो जैसे मुर्गी, बकरी वगैरा इस को मुहरिम भी ज़बह कर सकता है और हरम में भी ज़बह कर सकते हैं। नसरानी ने हरम में जंगली जानवर को ज़बह किया तो जानवर हराम है यानी मुस्लिम ज़बह करे या किताबी दोनों सूरतों में हराम है।(दुर्रेमुख़्तार वगैरा)

मसअ्ला.18:– जंगली जानवर अगर मानूस होजाये मस्लन हिरन वगैरा पाल लेते हैं और वह मानूस हो जाते हैं उन को उसी तरह ज़बह किया जाये जैसे पलाऊ जानवर ज़बह किये जाते हैं यानी ज़बहे इख़्तियारी होना ज़रूर है जिसका ज़िक्र गुज़र चुका और अगर घरेलू जानवर वहशी की तरह होजाये कि क़ाबू में न आये तो उस का ज़बह इज़्तिरारी है कि जिस तरह मुम्किन हो ज़बह कर सकते हैं यूंही अगर चौपाया कुँए में गिर पड़ा कि उसे बा क़ायदा ज़बह न कर सकते हों तो जिस तरह मुम्किन हो ज़बह कर सकते हैं।(हिदाया)

मसअ्ला.19:– ज़बह में औरत का वही हुक्म है जो मर्द का है यानी मुस्लिमा या किताबिया औरत का ज़बीहा हलाल है और मुश्रिका व मुरतद्दा का ज़बीहा हराम है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.20:– गूँगे का ज़बीहा हलाल है अगर वह मुस्लिम या किताबी हो उसी तरह अक़लफ़ का यानी जिस का ख़तना न हुआ हो और बर्स यानी सपेद दाग़ वाले का ज़बीहा भी हलाल है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.21:– जिन्न अगर इन्सान की शक्ल में हो तो उस का ज़बीहा जाइज़ है और इन्सानी शक्ल में न हो तो उस का ज़बीहा जाइज़ नहीं।(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.22:– मजूसी ने आतिशकदा के लिये या मुश्रिक ने अपने मअ्बूदाने बातिल के लिये मुसलमान से जानवर ज़बह कराया और उस ने अल्लाह का नाम लेकर जानवर ज़बह किया यह जानवर हराम न हुआ मगर मुसलमान को ऐसा करना मकरूह है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.23:– मुसलमान ने जानवर ज़बह कर दिया उसके बाद मुश्रिक ने उस पर छुरी फेरी तो जानवर हराम न हुआ कि ज़बह तो पहले ही हो चुका और अगर मुश्रिक ने ज़बह कर डाला उसके बाद मुस्लिम ने छुरी फेरी तो हराम ही है उसके छुरी फेरने से हलाल न होगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.24:– ज़बह करने में क़स्दन बिस्मिल्लाह न कही जानवर हराम है और अगर भूल कर ऐसा हुआ जैसा कि बाज़ मर्तबा शिकार के ज़बह में जल्दी होती है और जल्दी में बिस्मिल्लाह कहना भूल जाता है इस सूरत में जानवर हलाल है।(हिदाया)

मसअ्ला.25:– ज़बह करते वक़्त बिस्मिल्लाह के साथ गैरे खुदा का नाम भी लिया इस की दो सूरतें

हैं अगर बिग़ैर अ़त्फ़ ज़िक्र किया है मस्लन यूँ कहा बिस्मिल्लाहि मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह या बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन फ़ुलाँ ऐसा करना मकरूह है मगर जानवर ह़राम नहीं होगा और अगर अ़त्फ़ के साथ दूसरे का नाम ज़िक्र किया मस्लन यूँ कहा बिस्मिल्लाह व इस्मु फ़ुलाँ इस सूरत में जानवर ह़राम है कि यह जानवर ग़ैरे ख़ुदा के नाम पर ज़बह़ हुआ। तीसरी सूरत यह है कि ज़बह़ से पहले मस्लन जानवर को लिटाने से पहले इस ने किसी का नाम लिया या ज़बह़ करने के बाद नाम लिया तो इस में ह़रज नहीं जिस त़रह़ क़ुर्बानी और अक़ीक़े में दुआयें पढ़ी जाती हैं और क़ुर्बानी में उन लोगों के नाम लिये जाते हैं जिनकी त़रफ़ से क़ुर्बानी है और ह़ुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम और ह़ज़रत सय्यदिना इब्राहीम अ़लैहिस्सलामु वत्तस्लीम के नाम भी लिये जाते हैं। (हिदाया वगै़राहा) यहाँ से मालूम हुआ कि ما اهل لغير الله به जो ह़राम है उसका मत़लब यह है कि ज़बह़ के वक़्त जब ग़ैरे ख़ुदा का नाम इस त़रह़ लिया जायेगा उस वक़्त ह़राम होगा और वहाबिया यह कहते हैं कि आगे पीछे जब कभी ग़ैरे ख़ुदा का नाम ले दिया जाये ह़राम हो जाता है बल्कि यह लोग तो मुत़लक़न हर चीज़ को ह़राम कहते हैं जिस पर ग़ैरे ख़ुदा का नाम लिया जाये उन का यह क़ौल ग़लत़ और बात़िल मह़ज़ है अगर ऐसा हो तो सब ही चीज़ें ह़राम हो जायेंगी। खाने, पीने और इस्तेअ़्माल की सब चीज़ों पर लोगों के नाम ले दिये जाते हैं और उन सब को ह़राम क़रार देना शरीअ़त पर इफ़तिरा और मुस्लिम को ज़बर'दस्ती ह़राम का मुरतकिब बनाना है मा़लूम हुआ कि बाज़ मुसलमान गाय, बकरा, मुर्ग जो इस लिये पालते हैं कि उनको ज़बह़ कर के खाना पकवाकर किसी वलीयुल्लाह की रूह़ को ईसा़ले सवाब किया जायेगा यह जाइज़ है और जानवर भी ह़लाल है इस को ما اهل لغير الله به में दाख़िल करना जिहालत है क्योंकि मुसलमान के मुतअ़ल्लिक़ यह ख़याल करना कि उस ने तक़र्रुब इला ग़ैरिल्लाह की नियत की हट धर्मी और सख़्त बदगुमानी है मुस्लिम हरगिज़ ऐसा ख़याल नहीं रखता अक़ीक़ा और वलीमा और ख़तना वग़ैरा की तक़रीबों में जिस त़रह़ जानवर ज़बह़ करते हैं और बाज़ मर्तबा पहले ही से मुतअ़य्यन कर लेते हैं कि फ़ुलाँ मौक़ा और फ़ुलाँ काम के लिये ज़बह़ किया जायेगा जिस त़रह़ यह ह़राम नहीं है वह भी ह़राम नहीं।

मसअ्ला.26:– बिस्मिल्लाह की 'ह' को ज़ाहिर करना चाहिए अगर ज़ाहिर न की जैसाकि बाज़ अ़वाम इस का तलफ़्फ़ुज़ इस त़रह़ करते हैं कि 'ह' ज़ाहिर नहीं होती और मक़सूद अल्लाह का नाम ज़िक्र करना है तो जानवर ह़लाल है और अगर यह मक़सूद न हो और 'ह' को छोड़ना ही मक़सूद हो तो ह़लाल नहीं।(रद्दुलमुह़तार)

मसअ्ला.27:– मुस्तह़ब यह है कि ज़बह़ के वक़्त बिस्मिल्लाहि'अल्लाहु अकबर कहे यानी बिस्मिल्लाह और अल्लाहु अकबर के दरमियान 'वाव' न लाये और अगर बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर 'वाव' के साथ कहा तो जानवर इस सूरत में भी ह़लाल होगा मगर बाज़ उ़लमा इस त़रह़ कहने को मकरूह बताते हैं।(दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला.28:– बिस्मिल्लाह किसी दूसरे मक़सद से पढ़ी और जानवर को ज़बह़ कर दिया तो जानवर ह़लाल नहीं और अगर ज़बान से बिस्मिल्लाह कही और दिल में यह नियत ह़ाज़िर नहीं कि जानवर ज़बह़ करने के लिये बिस्मिल्लाह कहता हूँ तो जानवर ह़लाल है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.29:– ज़बह़ इख़्तियारी में शर्त़ यह है कि ज़बह़ करने वाला ज़बह़ के वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़े यहाँ मज़बूह़ पर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है यानी जिस जानवर को ज़बह़ करने के लिये बिस्मिल्लाह पढ़ी उसी को ज़बह़ कर सकते हैं दूसरा जानवर इस तस्मिया से ह़लाल न होगा मस्लन बकरी ज़बह़ करने के लिये लिटाई और इस के ज़बह़ करने को बिस्मिल्लाह पढ़ी मगर इस को ज़बह़ नहीं किया बल्कि इस की जगह दूसरी बकरी ज़बह़ करदी यह ह़लाल नहीं हुई यह ज़रूरी नहीं कि जिस छुरी से ज़बह़ करना चाहता था और बिस्मिल्लाह पढ़ली तो उसी से ज़बह़ करे बल्कि दूसरी छुरी से

भी ज़बह कर सकता है और शिकार करने में आला (हथियार) पर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है यानी उसी आला से शिकार करना होगा दूसरे से करेगा हलाल न होगा मस्लन तीर छोड़ना चाहता है और बिस्मिल्लाह पढ़ी मगर उस को रख दिया दूसरा तीर चलाया तो जानवर हलाल नहीं और अगर जिस जानवर को तीर से मारना चाहता है उस को तीर नहीं लगा दूसरा जानवर इस तीर से मारा तो यह हलाल है।(हिदाया)

मसअ्ला.30:– खुद ज़बह करने वाले को बिस्मिल्लाह कहना ज़रूर है दूसरे का कहना इस के कहने के क़ाइम मक़ाम नहीं यानी दूसरे के बिस्मिल्लाह पढ़ने से जानवर हलाल न होगा जबकि ज़ाबेह (ज़बह करने वाला) ने क़स्दन तर्क किया हो और दो शख़्सों ने ज़बह किया तो दोनों का पढ़ना ज़रूरी है एक ने क़स्दन तर्क किया तो जानवर हराम है।(रद्दुलमुहतार) मुअय्यन ज़ाबेह से यही मुराद है कि ज़बह करने में उसका मुअय्यन हो यानी दोनों ने मिलकर ज़बह किया हो दोनों ने छुरी फेरी हो मस्लन ज़ाबेह कमज़ोर है कि उस की तन्हा कुव्वत काम नहीं देगी दूसरे ने भी शिरकत की दोनों ने मिलकर छुरी चलाई। अगर दूसरा शख़्स जानवर को फ़क़त पकड़े हुये है तो यह मुअय्यन ज़ाबेह नहीं उस के पढ़ने न पढ़ने को कुछ दख़ल नहीं। यह अगर पढ़ता है तो इस का मक़सद यह हो सकता है कि ज़ाबेह को बिस्मिल्लाह याद आजाये और पढ़ले।

मसअ्ला.31:– बिस्मिल्लाह कहने और ज़बह करने के दरम्यान तवील फ़ासिला न हो और मज्लिस बदलने न पाये अगर मज्लिस बदल गई और अमले कसीर बीच में पाया गया तो जानवर हलाल न हुआ। एक लुक़्मा खाया या ज़रासा पानी पिया या छुरी तेज़ करली यह अमले क़लील है जानवर इस सूरत में हलाल है।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.32:– दो बकरियों को नीचे ऊपर लिटाकर दोनों को एक साथ बिस्मिल्लाह पढ़कर ज़बह करदिया दोनों हलाल हैं और अगर एक को ज़बह करके फ़ौरन दूसरी को ज़बह करना चाहता है तो उसको फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी होगी पहले जो पढ़ चुका है वह दूसरी के लिये काफ़ी नहीं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.33:– बकरी ज़बह के लिये लिटाई थी बिस्मिल्लाह कह कर ज़बह करना चाहता था कि वह उठकर भाग गई फिर उसे पकड़ के लाया और लिटाया तो अब फिर बिस्मिल्लाह पढ़े पहले का पढ़ना ख़त्म होगया यूंही बकरियों का गल्ला देखा और बिस्मिल्लाह पढकर उन में से एक बकरी पकड़ लाया और ज़बह करदी उस वक़्त क़स्दन बिस्मिल्लाह तर्क करदी यह ख़याल करके कि पहले पढ़ चुका है बकरी हराम होगई।(आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– पलाऊ जानवर अगर भाग जाये और पकड़ने में न आये तो इसके लिये ज़बह इज़्तिरारी है यानी तीर या नेज़ा वग़ैरा से ब नियते ज़बह बिस्मिल्लाह पढ़ कर मारें और इस के लिये गर्दन में ही ज़बह करना ज़रूर नहीं बल्कि जिस जगह भी ज़ख़्मी कर दिया जाये काफ़ी है यूंही अगर जानवर कुँए में गिर गया उस को नेज़ा वग़ैरा से ब नियते ज़बह बिस्मिल्लाह कह कर हलाक कर दी ज़बह होगया। उसी तरह अगर जानवर इस पर हमला आवर हुआ जैसा कि भैंसे और सांड अकसर हमला कर देते हैं उन को भी उसी तरह ज़बह किया जा सकता है और अगर महज़ अपने से दफ़अ् करने के लिये उसे नेज़ा मारा ज़बह करना मक़सूद न था तो जानवर हराम है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.35:– आबादी में अगर बकरी भाग गई तो उस के लिये ज़बह इज़्तिरारी नहीं है कि बकरी पकड़ी जा सकती है और मैदान में भाग गई तो ज़बह इज़्तिरारी हो सकता है और गाय, बैल, ऊँट अगर भाग जायें तो आबादी और जंगल दोनों का उन के लिये यकसां हुक्म है हो सकता है कि आबादी में भी उन के पकड़ने पर कुदरत न हो।(हिदाया वग़ैरहा)

मसअ्ला.36:– मुर्गी उड़कर दरख़्त पर चली गई अगर वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है और बिस्मिल्लाह पढ़ कर उसे तीर मारकर हलाक किया गया उसके जाते रहने का अन्देशा न था तो न खाई जाये और अन्देशा था तो खा सकते हैं कि उस सूरत में ज़बह इज़्तिरारी हो सकता है कबूतर उड़ गया अगर वह

मकान पर वापस आ सकता है और उसे तीर से मारा अगर तीर जा–ए–ज़बह पर लगा खाया जा सकता है वरना नहीं अगर वह वापस नहीं आ सकता तो बहर सूरत खाया जा सकता है।(ख़ानिया)

मसअ्ला.37:– हिरन को पाल लिया वह इत्तिफ़ाक़ से जंगल में चला गया किसी ने बिस्मिल्लाह कह कर उसे तीर मारा अगर तीर ज़बह की जगह पर लगा हलाल है वरना नहीं हाँ अगर वह्शी हो गया और अब बिग़ैर शिकार किये हाथ न आयेगा तो जहाँ भी लगे हलाल है।(ख़ानिया)

मसअ्ला.38:– गाय या बकरी ज़बह की और उस के पेट में बच्चा निकला अगर वह ज़िन्दा है ज़बह कर दिया जाये हलाल होजायेगा और मरा हुआ है तो ह़राम है उस की माँ का ज़बह करना उस के हलाल होने के लिये काफ़ी नहीं।(दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला.39:– बिल्ली ने मुर्ग़ी का सर काट लिया और वह अभी ज़िन्दा है फड़क रही है ज़बह नहीं की जा सकती।(आलमगीरी)

मसअ्ला.40:– जानवर को दिन में ज़बह करना बेहतर है और मुस्तह़ब यह है कि ज़बह से पहले छुरी तेज़ करले कुन्द छुरी या ऐसी चीज़ों से ज़बह करने से बचे जिस से जानवर को ईज़ा हो।(आलमगीरी)

हलाल व हराम जानवरों का बयान

हदीस (1) तिर्मिज़ी ने इरबाज़ इब्ने सारिया रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने ख़ैबर के दिन कीले वाले दरिन्दे से और पन्जे वाले परिन्द से और घरेलू गधे और मुजस्स़मा और ख़लीसा से मुमानअ़त फ़रमाई और ह़ामिला औरत जब तक वज़अ़े हमल न करले उसकी वती से मुमानअ़त फ़रमाई यानी हामिला लौन्डी का मालिक हो या ज़ानिया औरत हामिला से निकाह किया तो जब तक वज़अ़े हमल न हो उस से वती न करे। मुजस्स़मा यह है कि परिन्द या किसी जानवर को बाँध कर उस पर तीर मारा जाये। ख़लीसा यह है कि भेड़िये या किसी दरिन्दे ने जानवर पकड़ा उस से किसी ने छीन लिया और ज़बह से पहले वह मर गया।

हदीस (2) अबूदाऊद व दारमी जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिन्नीन(पेट का बच्चा)का ज़बह उसकी माँ के ज़बह की मिस्ल है।

हदीस (3) अहमद व निसाई व दारमी अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिसने चिड़िया या किसी जानवर को नाहक़ क़त्ल किया उससे अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन सुवाल करेगा" अ़र्ज़ किया गया या रसूलल्लाह उस का हक़ क्या है फ़रमाया कि "उसका हक़ यह है कि ज़बह करे और खाये यह नहीं कि सर काटे और फेंक दे"।

हदीस (4) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व अबूवाक़िद लैसी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कहते हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ़ लाये उस ज़माने में यहाँ के लोग ज़िन्दा ऊँट का कोहान काट लेते और ज़िन्दा दुंबे की चक्की काट लेते हुज़ूर ने फ़रमाया "ज़िन्दा जानवर का जो टुकड़ा काट लिया जाये वह मुर्दार है खाया न जाये"।

हदीस (5) दारे कुत़नी जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "दरिया के जानवर (मछली) को ख़ुदा ने हलाल कर दिया है"।

हदीस (6) सहीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में अबू क़तादा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी उन्होंने ह़म्मार वह्शी (गोरख़र) देखा उस का शिकार किया हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "क्या तुम्हारे पास उस के गोश्त में का कुछ है" अ़र्ज़ की हाँ उसकी रान है उस को हुज़ूर ने क़बूल फ़रमाया और खाया।

हदीस (7) सहीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कहते हैं हमने मरज़्ज़हरान (मक्का मुकर्रमा के पास एक जगह का नाम) में ख़रगोश भगाकर पकड़ा मैं उस को अबू तलहा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के पास लाया उन्होंने ज़बह किया और उस की पीठ और रानें हुज़ूर की

ख़िदमत में भेजीं हुज़ूर ने क़बूल फ़रमाईं।

हदीस् (8) सहीहैन में अबूमूसा अश्अरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मुर्ग़ी का गोश्त खाते देखा है।

हदीस् (9) सहीहैन में अब्दुल्लाह इब्ने अबी औफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ सात ग़ज़वे में थे हम हुज़ूर की मौजूदगी में टिड्डी खाते थे।

हदीस् (10) सहीहैन में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं मैं [1] **जैशुल ख़ब्त्** में गया था और अमीरे लश्कर अबू उ़बैदा इब्ने अलजर्राह़ रदियल्लाहु तआला अन्हु थे हमें बहुत सख़्त भूक लगी थी दरिया ने मरी हुई एक मछली फेंकी कि वैसी मछली हमने नहीं देखी उस का नाम अम्बर है हमने आधे महीने तक उसे खाया अबूउ़बैदा रदियल्लाहु तआला अन्हु ने उस की एक हड्डी खड़ी की बाज़ रिवायत में है पस्ली की हड्डी थी उस की कजी इतनी थी कि उस के नीचे से ऊँट मअ़ सवार गुज़र गया जब हम वापस आये तो हुज़ूर से ज़िक्र किया फ़रमाया खाओ अल्लाह ने तुम्हारे लिये रिज़्क़ भेजा हैऔर तुम्हारे पास हो तो हमें भी खिलाओ हमने उस में से हुज़ूर के पास भेजा हुज़ूर ने तनावुल फ़रमाया।

हदीस् (11)(12) सह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में उम्मे शरीक रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वज़ग (छिपकली और गिरगिट) के क़त्ल का हुक्म दिया और फ़रमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिये काफ़िरों ने जो आग जलाई थी उसे यह फूंकता था और सह़ीह़ मुस्लिम में सअ़द इब्ने अबी वक़्क़ास रदियल्लाहु तआला अन्हु से जो रिवायत है उस में यह भी है कि उसका नाम हुज़ूर ने फ़ुवैसिक़ रखा यानी छोटा फ़ासिक़ या बड़ा फ़ासिक़ इस लफ़्ज़ में दोनों मअ़्ना का एहतिमाल (शक) है।

हदीस् (13) सह़ीह़ मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो छिपकली या गिरगिट को पहली ज़र्ब में मारे उस के लिये सौ नेकियाँ और दूसरी में इस से कम और तीसरी में इस से भी कम"।

हदीस् (14) तिर्मिज़ी ने अब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जल्लालह (वह ह़लाल जानवर जो गन्दगी खाने लगे (अमीनुल क़ादरी)) और उस का दूध खाने से मनअ़ फ़रमाया।

हदीस् (15) अबूदाऊद ने अब्दुर्रहमान इब्ने शिब्ल रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गोह का गोश्त खाने से मनअ़ फ़रमाया।

हदीस् (16) अबूदाऊद व तिर्मिज़ी ने जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बिल्ली खाने से और उसके स़मन खाने से मनअ़ फ़रमाया।

हदीस् (17) इमाम अह़मद व इब्ने माजा व दारे क़ुत़नी इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "हमारे लिये दो मरे हुये जानवर और दो ख़ून ह़लाल हैं। दो मुर्दे मछली टिड्डी हैं और दो ख़ून कलेजी और तिल्ली हैं"।

हदीस् (18) अबूदाऊद व तिर्मिज़ी जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "दरिया ने जिस मछली को फेंक दिया हो और वहाँ से पानी जाता रहा उसे खाओ और जो पानी में मरकर तैर जाये उसे न खाओ"।

1.इस लश्कर मे जब तोशा की कमी हुई तो सब के पास कुछ था इकट्ठा कर लिया गया रोज़ाना फ़ी कस एक मुठ्ठी खजूर मिल्ती जब और कमी हुई तो रोजाना एक खजूर मिलती जिस को सहाबा किराम मुंह में रख कर कुछ चूस कर निकाल लेत और रख लेते फिर ऊपर से पानी पी लेते उसी एक खजूर को चूस चूस कर एक दिन रात गुजारते और शिद्दते गुरसंगी (भूक की शिद्दत) से दरख़्तों के पत्ते झाड़ कर खाते जिस से उन के मुंह छिल गये और ज़ख्मी हो गये उसी वजह से इस का नाम जैशुल खब्त है खब्त दरख़्तों के पत्तों को कहते हैं जो झाड़ लिये जाते हैं। और पत्तों के खाने की वजह से ऊँट और बकरी की मींगनी की तरह उन को इजाबत होती खुदा ने अपना करम किया कि साहिल पर टीले बराबर की यह अम्बर उन को मिली जिस की आँखो के हल्के से मटके बराबर चर्बी निकली उस को पन्द्रह दिन तक या एक माह तक जैसा कि दूसरी रिवायत में है उन हजरात ने खाया इस वाकिआ को मुख्तसर तौर पर बयान करने का यह मकसद भी है कि मसुलमान देखें और गौर करें कि हज़रात सहाबा–ए–किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम ने इस्लाम की तब्लीग व इशाअत में कैसी कैसी तकालीफ बरदाश्त कीं उन्हीं हजरात की कोशिशों का नतीजा है कि इस्लाम अपनी कमाल ताबानी

से तमाम आलम को मुनव्वर कर रहा है।

हदीस (19) शरहुस्सुन्ना में ज़ैद इब्ने ख़ालिद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुर्ग़ को बुरा कहने से मनअ फ़रमाया क्योंकि वह नमाज़ के लिये अज़ान कहता है या ख़बरदार करता है और अबूदाऊद की रिवायत में है कि वह नमाज़ के लिये जगाता है।

तम्बीहः— गोश्त या जो कुछ गिज़ा खाई जाती है वह जुज़वे बदन होजाती है और इस के असरात ज़ाहिर होते हैं और चूंकि बाज़ जानवरों में मज़मूम सिफ़ात (बुरी आदतें) पाये जाते हैं उन जानवरों के खाने में अन्देशा है कि इन्सान भी उन बुरी सिफ़तों के साथ मुत्तसिफ़ होजाये लिहाज़ा इन्सान को उन के खाने से मनअ किया गया हलाल व हराम जानवरों की तफ़सील दुश्वार है यहाँ चन्द कलिमात बयान किये जाते हैं जिन के ज़रीआ से जुज़ईयात जाने जा सकते हैं।

मसअला.1:— कीले वाला (नोकीले दाँतों वाला) जानवर जो कीले से शिकार करता हो हराम है जैसे शेर, गीदड़, लोमड़ी, बिज्जू, कुत्ता वग़ैरहा कि इन सब में कीले होते हैं और शिकार भी करते हैं। ऊँट के कीला होता है मगर वह शिकार नहीं करता लिहाज़ा वह उस हुक्म में दाख़िल नहीं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.2:— पन्जा वाला परिन्द जो पन्जे से शिकार करता है हराम है जैसे शिकरा, बाज़, बहरी, चील, हशरातुलअर्द हराम हैं जैसे चूहा, छिपकली, गिरगिट, घूंस, सांप, बिच्छू, बर, मच्छर, पिस्सू, खटमल, मक्खी, किल्ली, मेंढक वग़ैरहा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअला.3:— घरेलू गधा और ख़च्चर हराम है और जंगली गधा जिसे गोर ख़र कहते हैं हलाल है घोड़े के मुतअल्लिक़ रिवायतें मुख़्तलिफ़ हैं यह आला—ए—जिहाद है इस के खाने में तक़लीले आला—ए—जिहाद होती है लिहाज़ा न खाया जाये।(दुर्रेमुख़्तार वग़ैरहा)

मसअला.4:— कछुवा ख़ुश्की का हो या पानी का हराम है गुराबअबक़ा यानी कौआ जो मुर्दार खाता है हराम है और महुका कि यह भी कौए से मिलता जुलता एक जानवर होता है हलाल है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.5:— पानी के जानवरों में सिर्फ़ मछली हलाल है जो मछली पानी में मरकर तैर गई यानी जो बिग़ैर मारे अपने आप मर कर पानी की सतह पर उलट गई वह हराम है मछली को मारा और वह मर कर उलटी तैरने लगी यह हराम नहीं। (दुर्रेमुख़्तार) टिड्डी भी हलाल है मछली और टिड्डी यह दोनों बिग़ैर ज़बह हलाल हैं जैसा कि हदीस में फ़रमाया कि दो मुर्दे हलाल हैं मछली और टिड्डी।

मसअला.6:— पानी की गर्मी या सर्दी से मछली मर गई या मछली को डोरे में बाँधकर पानी में डालदिया और मरगई या जाल में फंस कर मर गई या पानी में कोई ऐसी चीज़ डालदी जिस से मछलियाँ मर गईं और यह मालूम है कि उस चीज़ के डालने से मरीं या घड़े या गढ्ढे में मछली पकड़ कर डालदी और उस में पानी थोड़ा था इस वजह से या जगह की तंगी की वजह से मर गईं उन सब सूरतों में वह मरी हुई मछली हलाल है।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअला.7:— झींगे के मुतअल्लिक़ इख़्तिलाफ़ है कि यह मछली है या नहीं इसी बिना पर उस की हिल्लत व हुरमत में भी इख़्तिलाफ़ है बज़ाहिर उस की सूरत मछली की सी नहीं मालूम होती बल्कि एक क़िस्म का कीड़ा मालूम होता है लिहाज़ा इस से बचना ही चाहिए।

मसअला.8:— छोटी मछलियाँ बिग़ैर शिकम चाक किये भून ली गईं उनका खाना हलाल है।(रद्दुलमुहतार)

मसअला.9:— मछली का पेट चाक किया उस में मोती निकला अगर यह सीप के अन्दर है तो मछली वाला इस का मालिक हैं। शिकारी ने मछली बेच डाली है तो वह मोती मुश्तरी का है और अगर मोती सीप में नहीं है तो मुश्तरी शिकारी को देदे और यह लुक़्ता है। और मछली के शिकम में अंगूठी या रूपया या अशर्फ़ी या कोई ज़ेवर मिला तो लुक़्ता है अगर यह शख़्स ख़ुद मोहताज व फ़क़ीर है तो अपने सर्फ़ (ख़र्च) में ला सकता है वरना तसद्दुक़ कर दे।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअला.10:— बाज़ गायें, बकरियाँ ग़लीज़ खाने लगती हैं उन को जल्लालह कहते हैं उस के बदन और गोश्त वग़ैरा में बदबू पैदा होजाती है उस को कई दिन तक बाँध रखें कि निजासत न खाने

पाये जब बदबू जाती रहे ज़बह कर के खायें उसी तरह जो मुर्ग़ी ग़लीज़ खाने की आदी हो उसे चन्द रोज़ बन्द रखें जब असर जाता रहे ज़बह कर के खायें। जो मुर्ग़ियाँ छुटी फिरती हैं उन को बन्द करना ज़रूरी नहीं जब कि ग़लीज़ खाने की आदी न हों और उन में बदबू न हो हाँ बेहतर यह है कि उन को भी बन्द रख कर ज़बह करें।(आलमगीरी, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.11:– बकरा जो ख़स्सी नहीं होता वह अकसर पेशाब पीने का आदी होता है और उस में ऐसी सख़्त बदबू पैदा होजाती है कि जिस रास्ते से गुज़रता है वह रास्ता कुछ देर के लिये बदबूदार होजाता है उस का भी हुक्म वही है जो जल्लालह का है कि अगर उस के गोश्त से बदबू दफ़अ् होगई तो खा सकते हैं वरना मकरूह व ममनूअ्।

मसअ्ला.12:– बकरी के बच्चे को कुतिया का दूध पिलाता रहा इस का भी हुक्म जल्लालह का है कि चन्द रोज़ तक उसे बाँधकर चारा खिलायें कि वह असर जाता रहे।(आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– बकरी से कुत्ते की शकल का बच्चा पैदा हुआ अगर वह भोंकता है तो न खाया जाये और अगर उस की आवाज़ बकरी की तरह है खाया जा सकता है और अगर दोनों तरह आवाज़ देता है तो उसके सामने पानी रखा जाये अगर ज़बान से चाटे कुत्ता है और मुँह से पिये तो बकरी है और अगर दोनों तरह पानी पिये तो उसके सामने घास और गोश्त दोनों चीज़ें रखें घास खाये तो बकरी मगर उस का सर काट कर फेंक दिया जाये खाया न जाये, और गोश्त खाये तो कुत्ता है और अगर दोनों चीज़ें खाये तो उसे ज़बह करके देखें उसके पेट में मेअ्दा है तो खा सकते हैं और न हो तो न खायें।(आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.14:– जानवर को ज़बह किया वह उठकर भागा और पानी में गिरकर मर गया या ऊँची जगह से गिरकर मरगया उसके खाने में हरज नहीं कि उसकी मौत ज़बह ही से हुई पानी में गिरने या लुढ़कने का एअ्तिबार नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– ज़िन्दा जानवर से अगर कोई टुकड़ा काटकर जुदा कर लिया गया मसलन दुंबा की चक्की काट ली या ऊँट का कोहान काट लिया या किसी जानवर का पेट फाड़ कर उस की कलेजी निकाल ली यह टुकड़ा हराम है। जुदा करने का यह मतलब है कि वह गोश्त से जुदा हो गया अगर्चे अभी चमड़ा लगा हुआ हो और अगर गोश्त से उसका तअल्लुक़ बाक़ी है तो मुर्दार नहीं यानी उस के बाद अगर जानवर को ज़बह कर लिया तो यह टुकड़ा भी खाया जा सकता है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– जानवर को ज़बह कर लिया है मगर अभी उस में हयात बाक़ी है उसका कोई टुकड़ा काट लिया यह हराम नहीं कि ज़बह के बाद उस जानवर का ज़िन्दों में शुमार नहीं अगर्चे जब तक जानवर ज़बह के बाद ठन्डा न हो जाये उस का कोई उ़ज़्व (हिस्सा) काटना मकरूह है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– शिकार पर तीर चलाया उसका कोई टुकड़ा कटकर जुदा होगया अगर वह ऐसा अ़ज़्व है बिग़ैर उसके जानवर ज़िन्दा रह सकता है तो उस का खाना हराम है और अगर बिग़ैर उसके ज़िन्दा नहीं रह सकता मसलन सर जुदा होगया तो सर भी खाया जायेगा और वह जानवर भी(आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– ज़िन्दा मछली में से एक टुकड़ा काट लिया यह हलाल है और काटने से अगर मछली पानी में मर गई तो वह भी हलाल है।(हिदाया)

मसअ्ला.19:– किसी ने दूसरे से अपने जानवर के मुतअल्लिक़ कहा उसे ज़बह करदो उस ने उस वक़्त ज़बह नहीं किया मालिक ने वह जानवर किसी के हाथ बेच डाला अब उसने ज़बह कर दिया उस को तावान देना होगा और जिस ने उस से ज़बह करने को कहा था तावान की रक़म उस से वापस नहीं ले सकता ज़बह करने वाले को बैअ् का इल्म हो या न हो दोनों सूरतों का एक ही हुक्म है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.20:– जिन जानवरों का गोश्त नहीं खाया जाता ज़बहे शरई से उनका गोश्त और चर्बी और चमड़ा पाक हो जाता है मगर ख़िन्ज़ीर कि उसका हर जुज़ नजिस है और आदमी अगर्चे ताहिर

है उस का इस्तेअ्माल ना'जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार) उन जानवरों की चर्बी वग़ैरा को अगर खाने के सिवा ख़ारिजी तौर पर इस्तेअ्माल करना चाहे तो ज़बह़ करलें कि इस सूरत में उसके इस्तेअ्माल से बदन या कपड़ा नजिस नहीं होगा और निजासत के इस्तेअ्माल की क़बाहत से भी बचना होगा।

उदहीया यानी कुर्बानी का बयान

मख़्सूस जानवर को मख़्सूस दिन में ब'नियते तक़र्रुब ज़बह़ करना कुर्बानी है और कभी उस जानवर को भी उदहीया और कुर्बानी कहते हैं जो ज़बह किया जाता है। कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की सुन्नत है जो इस उम्मत के लिये बाक़ी रखी गई और नबी करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को कुर्बानी करने का हुक्म दिया गया इरशाद फ़रमाया।

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ "तुम अपने रब के लिये नमाज़ पढ़ो और कुर्बानी करो"।

उस के मुतअ़ल्लिक़ पहले चन्द अहादीस ज़िक्र की जाती हैं फिर फ़िक़्ही मसाइल बयान होंगे।

हदीस् (1) अबूदाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा उम्मुलमोमिनीन आइशा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रावी कि हुज़ूर अक़्दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि यौमुन्नह़र(दसवीं ज़िलहिज्जा) उस में इब्ने आदम का कोई अमल ख़ुदा के नज़्दीक ख़ून बहाने (कुर्बानी करने) से ज़्यादा प्यारा नहीं और वह जानवर क़ियामत के दिन यानी अपनी सींग और बाल और खुरों के साथ आयेगा और कुर्बानी का ख़ून ज़मीन पर गिरने से क़ब्ल ख़ुदा के नज़्दीक मक़ामे क़बूल में पहुँच जाता है लिहाज़ा उस को खुश दिली से करो।

हदीस् (2) त़िब्रानी हज़रत इमाम हसन इब्ने अ़ली रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया जिसने ख़ुशी दिल से त़ालिबे स़वाब होकर कुर्बानी की वह आतिशे जहन्नम से हिजाब(रोक) होजायेगी।

हदीस् (3) त़िब्रानी इब्ने अ़ब्बास रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया "जो रुपया ईद के दिन कुर्बानी में ख़र्च किया गया उस से ज़्यादा कोई रुपया प्यारा नहीं"।

हदीस् (4) इब्ने माजा अबूहुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर अक़्दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिस में वुस्अ़त हो और कुर्बानी न करे वह हमारी ईदगाह के क़रीब न आये"।

हदीस् (5) इब्ने माजा ने ज़ैद इब्ने अरक़म रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि स़हाबा ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह यह कुर्बानियाँ क्या हैं फ़रमाया कि तुम्हारे बाप इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की सुन्नत है लोगों ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह हमारे लिये इसमें क्या स़वाब है फ़रमाया "हर बाल के मुक़ाबिल नेकी है" अ़र्ज़ की उन का क्या हुक्म है फ़रमाया "उन के हर बाल के बदले में नेकी है"।

हदीस् (6) स़ह़ीह़ बुख़ारी में बर्रा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी नबी करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया सब से पहले जो काम आज हम करेंगे वह यह है कि नमाज़ पढ़ेंगे फिर उसके बाद कुर्बानी करेंगे जिस ने ऐसा किया उस ने हमारी सुन्नत (तरीक़ा) को पालिया और जिस ने पहले ज़बह़ कर लिया वह गोश्त है जो उस ने पहले से अपने घर वालों के लिये तैयार कर लिया कुर्बानी से उसे कुछ तअ़ल्लुक़ नहीं। अबूहुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु खड़े हुए और यह पहले ही ज़बह़ कर चुके थे (इस ख़याल से कि पड़ोस के लोग ग़रीब थे उन्होंने चाहा कि उन को गोश्त मिल जाये) और अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह मेरे पास बकरी का छः माहा एक बच्चा है फ़रमाया तुम उसे ज़बह़ कर लो और तुम्हारे सिवा किसी के लिए छः माहा बच्चा किफ़ायत नहीं करेगा।

हदीस् (7) इमाम अहमद वग़ैरा बर्रा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि हुज़ूर अक़्दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "आज के दिन जो काम हम को पहले करना है वह नमाज़ है उस के बाद कुर्बानी करना है जिसने ऐसा किया वह हमारी सुन्नत को पहुँचा और जिस ने पहले ज़बह़ कर डाला वह गोश्त है जो उसके अपने घर वालों के लिये पहले ही से कर लिया नुस्क यानी

कुर्बानी से उस को कुछ तअल्लुक़ नहीं"।

हदीस् (8) इमाम मुस्लिम हज़रत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुक्म फ़रमाया कि सींग वाला मेंढा लाया जाये जो स्याही में चलता हो और स्याही में बैठता हो और स्याही में नज़र करता हो यानी उस के पाँव स्याह हों और पेट स्याह हो और आँखें स्याह हों वह कुर्बानी के लिये हाज़िर किया गया हुज़ूर ने फ़रमाया आइशा छुरी लाओ फिर फ़रमाया उसी पत्थर पर तेज़ कर लो फिर हुज़ूर ने छुरी ली और मेंढे को लिटाया और उसे ज़बह किया फिर फ़रमाया।

﴿بسم اللهِ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّ مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ﴾

"इलाही तू उस को मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ़ से और उन की आल और उम्मत की तरफ़ से कबूल फरमा"।

हदीस् (9) इमाम अहमद व अबूदाऊद व इब्ने माजा व दारमी जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ज़बह के दिन दो मेंढे सींग वाले चित कबरे ख़स्सी किए हुये ज़बह किए जब उन का मुँह क़िब्ला को किया यह पढ़ा।

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ عَلٰی مِلَّةِ اِبْرَاهِیْمَ حَنِیْفاً وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ اِنَّ صَلَاتِیْ وَ نُسُکِیْ وَمَحْیَایَ وَ مَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ لَاشَرِیْکَ لَهٗ وَبِذٰلِکَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْکَ لَکَ عَنْ مُحَمَّدٍ و امته بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَکْبَر

"मैंने अपना मुँह उसकी तरफ़ किया जिस ने आसमान और ज़मीन बनाये मिल्लते इब्राहीमी पर एक उसी का होकर, और मैं मुश्रिकों में नहीं। बेशक मेरी नमाज़ और मेरी कुर्बानियाँ और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिये है जो रब है सारे जहान का उसका कोई शरीक नहीं। मुझे यही हुक्म हुआ है और मैं मुसलमान हूँ इलाही! यह तेरी तौफ़ीक़ से है और तेरे लिये ही है मुहम्मद (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) और आप की उम्मत की तरफ़ से बिस्मिल्लाहि वल्लाहुअकबर"

इस को पढ़कर ज़बह फ़रमाया और एक रिवायत में है कि हुज़ूर ने यह फ़रमाया कि इलाही यह मेरी तरफ़ से है और मेरी उम्मत में उसकी तरफ़ से है जिसने कुर्बानी नहीं की।

हदीस् (10) इमाम बुख़ारी व मुस्लिम ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दो मेंढे चित कबरे सींग वालों की कुर्बानी की उन्हें अपने दस्ते मुबारक से ज़बह किया और बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर कहा कहते हैं मैंने हुज़ूर को देखा कि अपना पाँव उन के पहलूओं पर रखा और बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर कहा।

हदीस् (11) तिर्मिज़ी में हन्श से मरवी वह कहते हैं मैंने हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु को देखा कि दो मेंढे की कुर्बानी करते हैं मैंने कहा यह क्या उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे वसियत फ़रमाई कि मैं हुज़ूर की तरफ़ से कुर्बानी करूँ लिहाज़ा मैं हुज़ूर की तरफ़ से कुर्बानी करता हूँ।

हदीस् (12) अबूदाऊद व नसाई अब्दुल्लाह इब्ने अम्र रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मुझे यौमुज़्ज़ुहा का हुक्म दिया उस दिन को ख़ुदा ने इस उम्मत के लिए ईद बनाया एक शख़्स ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह यह बताईये अगर मेरे पास **1.मनीहा** (मनीहा उस जानवर को कहते हैं जो किसी ने इस लिये दिया हो कि वह उस के दूध से फ़ायदा उठाये फिर मालिक को वापस करदे) के सिवा कोई जानवर न हो तो क्या उसी की कुर्बानी कर दूँ फ़रमाया नहीं। हाँ तुम अपने बाल और नाख़ुन तरशवाओ और मूछें तरशवाओ और मु–ए–ज़ेरे नाफ़ को मून्ढो उसी में तुम्हारी कुर्बानी ख़ुदा के नज़्दीक पूरी हो जायेगी यानी जिस को कुर्बानी की तौफ़ीक़ न हो उसे उन चीज़ों के करने से कुर्बानी का सवाब हासिल होजायेगा।

हदीस् (13) मुस्लिम व तिर्मिज़ी व नसाई व इब्ने माजा उम्मुलमोमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया जिस ने ज़िलहिज्जा का चाँद देख लिया और उसका इरादा कुर्बानी करने का है तो जब तक कुर्बानी न करले बाल और नाख़ूनों से न ले यानी न तरशवाये।

हदीस् (14) तिबरानी अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर ने फ़रामाया "कुर्बानी में गाय सात की तरफ़ से और ऊँट सात की तरफ़ से है"।

हदीस (15) अबूदाऊद व निसाई व इब्ने माजा मुजाशेअ् इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया भेड़ का जुज़अ् (छःमहीने का बच्चा) साल भर वाली बकरी के क़ाइम मक़ाम है
हदीस (16) इमाम अहमद ने रिवायत की कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "अफ़ज़ल कुर्बानी वह है जो ब'एअ्तिबार क़ीमत आला हो और ख़ूब फ़रबा हो"।
हदीस (17) तिबरानी इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि हुज़ूर ने रात में कुर्बानी करने से मनअ् फ़रमाया।
हदीस (18) इमाम अहमद वग़ैरा हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया चार क़िस्म के जानवर कुर्बानी के लिये दुरुस्त नहीं **काना** जिस का कानापन ज़ाहिर है और **बीमार** जिस की बीमारी ज़ाहिर हो और **लंगड़ा** जिस का लंग ज़ाहिर है और ऐसा **लाग़र** जिस की हड्डियों में मग़्ज़ न हो उसी की मिस्ल इमाम मालिक व अहमद व तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व निसाई इब्ने माजा व दारमी बर्रा इब्ने आज़िब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी।
हदीस (19) इमाम अहमद व इब्ने माजा हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कान कटे हुए और सींग टूटे हुए की कुर्बानी से मनअ् फ़रमाया। **मनीहा** उस जानवर को कहते हैं जो दूसरे ने उसे इस लिये दिया है कि यह कुछ दिनों उस के दूध वग़ैरा से फ़ायदा उठाये फिर मालिक को वापस करदे। 12. मिन्हु।
हदीस (20) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व निसाई व दारमी हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हम जानवरों के कान और आँखें ग़ौर से देखलें और उसकी कुर्बानी न करें जिसके कान का अगला हिस्सा कटा हो और न उस की जिस के कान का पिछला हिस्सा कटा हो और न उसकी जिसका कान फटा हो या कान में सूराख़ हो।
हदीस (21) इमाम बुख़ारी इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ईद गाह में नहर, ज़बह फ़रमाते थे।

मसाइले फ़िक़्हिया

कुर्बानी कई क़िस्म की है। **ग़नी** और **फ़क़ीर** दोनों पर वाजिब। **फ़क़ीर** पर वाजिब हो ग़नी पर वाजिब न हो। **ग़नी** पर वाजिब हो फ़क़ीर पर वाजिब न हो। दोनों पर वाजिब हो उस की सूरत यह है कि कुर्बानी की मन्नत मानी यह कहा कि अल्लाह के लिये मुझ पर बकरी या गाय की कुर्बानी करना है या उस बकरी या उस गाय को कुर्बानी करना है। फ़क़ीर पर वाजिब हो ग़नी पर न हो इस की सूरत यह है कि फ़क़ीर ने कुर्बानी के लिये जानवर ख़रीदा उस पर उस जानवर की कुर्बानी वाजिब है और ग़नी अगर ख़रीदता तो इस ख़रीदने से कुर्बानी उस पर वाजिब न होती। **ग़नी** पर वाजिब हो फ़क़ीर पर वाजिब न हो उस की सूरत यह है कि कुर्बानी का वुजूब न ख़रीदने से हो न मन्नत मानने से बल्कि ख़ुदा ने जो उसे ज़िन्दा रखा है उसके शुक्रिया में और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की सुन्नत के एहया (यानी सुन्नते इब्राहीमी को क़ायम रखने के लिये) में जो कुर्बानी वाजिब है वह सिर्फ़ ग़नी पर है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.1:– मुसाफ़िर पर कुर्बानी वाजिब नहीं अगर मुसाफ़िर ने कुर्बानी की यह ततव्वोअ् (नफ़्ल) है और फ़क़ीर ने अगर न मन्नत मानी हो न कुर्बानी की नियत से जानवर ख़रीदा हो उसका कुर्बानी करना भी ततव्वोअ् है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– बकरी का मालिक था और उसकी कुर्बानी की नियत करली या ख़रीदने के वक़्त कुर्बानी की नियत न थी बाद में नियत करली तो उस की नियत से कुर्बानी वाजिब नहीं होगी(आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– कुर्बानी वाजिब होने के शराइत यह हैं इस्लाम यानी ग़ैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं इक़ामत यानी मुक़ीम होना, मुसाफ़िर पर वाजिब नहीं। तवंगरी यानी मालिके निसाब होना

यहाँ मालदारी से मुराद वही है जिससे सदका-ए-फ़ित्र वाजिब होता है वह मुराद नहीं जिस से ज़कात वाजिब होती है। **हुर्रियत** यानी आज़ाद होना जो आज़ाद न हो उस पर क़ुर्बानी वाजिब नहीं कि गुलाम के पास माल ही नहीं लिहाज़ा इबादते मालिया उस पर वाजिब नहीं। मर्द होना इस के लिये शर्त नहीं। औरतों पर वाजिब होती है जिस तरह मर्दों पर वाजिब होती है इसके लिये बुलूग़ शर्त है या नहीं इस में इख़्तिलाफ़ है और ना'बालिग़ पर वाजिब है तो आया ख़ुद उस के माल से क़ुर्बानी की जायेगी या उसका बाप अपने माल से क़ुर्बानी करेगा। ज़ाहिरुर्रिवाया यह है कि न ख़ुद ना'बालिग़ पर वाजिब है और न उस की तरफ़ से उसके बाप पर वाजिब है और इसी पर फ़तवा है(दुर्रेमुख्तार)

मसअला.4:– मुसाफ़िर पर अगर्चे वाजिब नहीं मगर नफ़्ल के तौर पर करे तो कर सकता है सवाब पायेगा। हज करने वाले जो मुसाफ़िर हों उन पर क़ुर्बानी वाजिब नहीं और मुक़ीम हों तो वाजिब है जैसे कि मक्का के रहने वाले हज करें तो चूंकि यह मुसाफ़िर नहीं उन पर वाजिब होगी।(दुर्रेमुख्तार)

मसअला.5:– शराइत का पूरे वक़्त में पाया जाना ज़रूरी नहीं बल्कि क़ुर्बानी के लिये जो वक़्त मुक़र्रर है उस के किसी हिस्से में शराइत का पाया जाना वुजूब के लिये काफ़ी है मसलन एक शख़्स इब्तिदा-ए-वक़्त क़ुर्बानी में काफ़िर था फिर मुसलमान होगया और अभी क़ुर्बानी का वक़्त बाक़ी है उस पर क़ुर्बानी वाजिब है जब कि दूसरे शराइत भी पाये जायें उसी तरह अगर गुलाम था और आज़ाद होगया उस के लिये भी यहीं हुक्म है यूंही अव्वल वक़्त में मुसाफ़िर था और इस्ना-ए-वक़्त में मुक़ीम होगया उस पर भी क़ुर्बानी वाजिब होगई या फ़क़ीर था और वक़्त के अन्दर मालदार होगया उस पर भी क़ुर्बानी वाजिब है।(आलमगीरी)

मसअला.6:– क़ुर्बानी वाजिब होने का सबब वक़्त है जब वह वक़्त आया और शराइते वुजूब पाये गये क़ुर्बानी वाजिब होगई और उस का रुक्न उन मख़्सूस जानवरों में किसी को क़ुर्बानी की नियत से ज़बह करना है क़ुर्बानी की नियत से दूसरे जानवर मसलन मुर्ग़ को ज़बह करना ना'जाइज़ है(दुर्रेमुख्तार)

मसअला.7:– जो शख़्स दो सौ दिरहम या बीस दीनार का मालिक हो या हाजत के सिवा किसी ऐसी चीज़ का मालिक हो जिस की क़ीमत दो सौ दिरहम हो वह ग़नी है उस पर क़ुर्बानी वाजिब है। हाजत से मुराद रहने का मकान और ख़ानादारी के सामान जिन की हाजत हो और सवारी का जानवर और ख़ादिम और पहनने के कपड़े उन के सिवा जो चीज़ें हों वह हाजत से ज़ाइद हैं। (आलमगीरी वग़ैरा)

मसअला.8:– उस शख़्स पर दैन है और उस के अमवाल से दैन की मिक़दार मुजरा (कटौती) की जाये तो निसाब नहीं बाक़ी रहती उस पर क़ुर्बानी वाजिब नहीं और अगर उस का माल यहाँ मौजूद नहीं है और अय्यामे क़ुर्बानी गुज़रने के बाद वह माल उसे वसूल होगा तो क़ुर्बानी वाजिब नहीं(आलमगीरी)

मसअला.9:– एक शख़्स के पास दो सौ दिरहम थे साल पूरा हुआ और उन में से पाँच दिरहम ज़कात में दिये एक सौ पचानवे बाक़ी रहे अब क़ुर्बानी का दिन आया तो क़ुर्बानी वाजिब है और अगर अपने ज़रूरियात में पाँच दिरहम करता तो क़ुर्बानी वाजिब न होती।(आलमगीरी)

मसअला.10:– मालिके निसाब ने क़ुर्बानी के लिये बकरी ख़रीदी थी वह गुम होगई और उस शख़्स का माल निसाब से कम होगया अब क़ुर्बानी का दिन आया तो उस पर यह ज़रूर नहीं कि दूसरा जानवर ख़रीदकर क़ुर्बानी करे और अगर वह बकरी क़ुर्बानी ही के दिनों में मिल गई और यह शख़्स अब भी मालिके निसाब नहीं है तो उसपर बकरी की क़ुर्बानी वाजिब नहीं।(आलमगीरी)

मसअला.11:– औरत का महर शौहर के ज़िम्मे बाक़ी है और शौहर मालदार है तो उस महर की वजह से औरत को मालिके निसाब नहीं माना जायेगा अगर्चे महर मुअज्जल हो और अगर औरत के पास उस के सिवा बक़द्रे निसाब माल नहीं है तो औरत पर क़ुर्बानी वाजिब नहीं होगी।(आलमगीरी)

मसअला.12:– किसी के पास दो सौ दिरहम की क़ीमत का मुस्हफ़ शरीफ़ (क़ुर्आन मजीद) है और अगर वह उसे देखकर अच्छी तरह तिलावत कर सकता है तो उस पर क़ुर्बानी वाजिब नहीं चाहे उस में तिलावत करता हो या न करता हो और अगर अच्छी तरह उसे देखकर तिलावत न कर

सकता हो तो वाजिब है किताबों का भी यही हुक्म है कि उसके काम की हैं तो कुर्बानी वाजिब नहीं वरना है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– एक मकान जाड़े के लिये और एक गर्मी के लिये यह हाजत में दाखिल है उन के एलावा उस के पास तीसरा मकान हो जो हाजत से ज़ायद है अगर यह दो सौ दिरहम का है तो कुर्बानी वाजिब है उसी तरह गर्मी, जाड़े के बिछौने हाजत में दाखिल हैं और तीसरा बिछौना जो हाजत से ज़ायद है उस का एअ्तिबार होगा। गाज़ी के लिये दो घोड़े हाजत में हैं तीसरा हाजत से ज़ाइद है। असलहू गाज़ी की हाजत में दाखिल हैं हाँ अगर हर किस्म के दो हथियार हों तो दूसरे को हाजत से ज़ायद क़रार दिया जायेगा। गाँव के ज़मीनदार के पास एक घोड़ा हाजत में दाखिल है और दो हों तो दूसरे को ज़ायद माना जायेगा। घर में पहनने के कपड़े और काम काज के वक़्त पहनने के कपड़े और जुमा व ईद और दूसरे मौक़ों पर पहनकर जाने के कपड़े यह सब हाजत में दाखिल हैं और उन तीन के सिवा चौथा जोड़ा अगर दो सौ दिरहम का है तो कुर्बानी वाजिब है(आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– बालिग़ लड़कों या बीवी की तरफ़ से कुर्बानी करना चाहता है तो उन से इजाज़त हासिल करे बिग़ैर उन के कहे अगर करदी तो उन की तरफ़ से वाजिब अदा न हुआ और नाबालिग़ की तरफ़ से अगर्चे वाजिब नहीं है मगर कर देना बेहतर है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– कुर्बानी का हुक्म यह है कि उसके ज़िम्मे जो कुर्बानी वाजिब है कर लेने से बरियुज़्ज़िम्मा होगया और अच्छी नियत से की है रिया वग़ैरा की मुदाख़लत नहीं तो अल्लाह के फ़ज़्ल से उम्मीद है कि आख़िरत में उसका सवाब मिलेगा।(दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला.16:– यह ज़रूर नहीं कि दसवीं ही को कुर्बानी कर डाले उस के लिये गुन्जाइश है कि पूरे वक़्त में जब चाहे करे लिहाज़ा अगर इब्तिदाए वक़्त में उस का अहल न था वुजूब के शराइत नहीं पाये जाते थे और आख़िर वक़्त में अहल होगया यानी वुजूब के शराइत पाये गये तो उस पर वाजिब होगई और अगर इब्तिदाए वक़्त में वाजिब थी और अभी की नहीं और आख़िर वक़्त में शराइत जाते रहे तो वाजिब न रही।(आलमगीरी)

मसअ्ला.17:– एक शख़्स फ़क़ीर था मगर उसने कुर्बानी कर डाली उस के बाद अभी वक़्त कुर्बानी का बाक़ी था कि ग़नी होगया तो उस को फिर कुर्बानी करनी चाहिए कि पहले जो की थी वह वाजिब न थी और अब वाजिब है बाज़ उलमा ने फ़रमाया कि वह पहली कुर्बानी काफ़ी है और अगर बावुजूद मालिके निसाब होने के उसने कुर्बानी न की और वक़्त ख़त्म होने के बाद फ़क़ीर होगया तो उस पर बकरी की क़ीमत का सदका करना वाजिब है यानी वक़्त गुज़रने के बाद कुर्बानी साक़ित नहीं होगी। और अगर मालिके निसाब बिग़ैर कुर्बानी किये हुये उन्हीं दिनों में मर गया तो उस की कुर्बानी साक़ित होगई।(आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.18:– कुर्बानी के वक़्त में कुर्बानी करना ही लाज़िम है कोई दूसरी चीज़ उसके क़ाइम मक़ाम नहीं हो सकती मस्लन बजाये कुर्बानी उसने बकरी या उसकी क़ीमत सदका करदी यह नाकाफ़ी है उस में नियाबत हो सकती है यानी खुद करना ज़रूर नहीं बल्कि दूसरे को इजाज़त देदी उसने करदी यह हो सकता है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.19:– जब कुर्बानी के शराइते मज़कूरा पाये जायें तो बकरी का ज़बह करना या ऊँट या गाय का सातवाँ हिस्सा वाजिब है, सातवें हिस्से से कम नहीं हो सकता बल्कि ऊँट या गाय के शुरका (शरीकों) में अगर किसी शरीक का सातवें हिस्से से कम है तो किसी की कुर्बानी नहीं हुई यानी जिसका सातवाँ हिस्सा इस से ज़्यादा है उस की भी कुर्बानी नहीं हुई। गाय या ऊँट में सातवें हिस्से से ज़्यादा की कुर्बानी हो सकती है। मस्लन गाय को छः या पाँच या चार शख़्सों की तरफ़ से कुर्बानी करें हो सकता है और यह ज़रूर नहीं कि सब शुरका के हिस्से बराबर हों बल्कि कम व बेश भी हो सकते हैं हाँ यह ज़रूर है कि जिस का हिस्सा कम है तो सातवें हिस्से से कम न हो।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.20:— सात शख़्सों ने पाँच गायों की क़ुर्बानी की यह जाइज़ है कि हर गाय में हर शख़्स का सातवाँ हिस्सा हुआ और आठ शख़्सों ने पाँच या छः गायों में ब'हिस्साए मसावी (बराबर हिस्से के साथ) शिरकत की यह ना'जाइज़ है कि हर गाय में हर एक का सातवें हिस्से से कम है। सात बकरियों की सात शख़्सों ने शरीक होकर क़ुर्बानी की यानी हर एक का हर बकरी में सातवाँ हिस्सा है इस्तिहसानन क़ुर्बानी हो जायेगी यानी हर एक की एक एक बकरी पूरी क़रार दी जायेगी यूँहीं दो शख़्सों ने दो बकरियों में शिरकत कर के क़ुरबानी की तो बतौर इस्तिहसान हर एक की क़ुर्बानी हो जायेगी।(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.21:— शिरकत में गाय की क़ुर्बानी हुई तो ज़रूर है कि गोश्त वज़न करके तक़सीम किया जाये अन्दाज़े से तक़सीम न हो क्योंकि हो सकता है कि किसी को ज़ाइद या कम मिले और यह ना'जाइज़ है यहाँ यह ख़याल न किया जाये कि कम व बेश होगा तो हर एक उस को दूसरे के लिये जाइज़ कर देगा कह देगा कि अगर किसी को ज़ाइद पहुँच गया है तो मुआफ़ किया कि यहाँ अ़दमे जवाज़ हक़्क़े शरअ़ है और उन को इस के मुआफ़ करने का हक़ नहीं।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.22:— क़ुर्बानी का वक़्त दसवीं ज़िलहिज्जा के तुलूअ़ सुबह सादिक़ से बारहवीं के ग़ुरूब आफ़ताब तक है यानी तीन दिन और दो रातें और उन दिनों को अय्यामे नहर कहते हैं और ग्यारह से तेरह तक तीन दिनों को अय्यामे तशरीक़ कहते हैं लिहाज़ा बीच के दो दिन अय्यामे नहर व अय्यामे तशरीक़ दोनों हैं और पहला दिन यानी दसवीं ज़िल्हिज्जा सिर्फ़ यौमुन्नहर है और पिछला दिन यानी तेरवीं ज़िलहिज्जा सिर्फ़ यौमुत्तशरीक़ है।(दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला.23:— दसवीं के बाद की दोनों रातें अय्यामे नहर में दाख़िल हैं उन में भी क़ुर्बानी होसकती है मगर रात में ज़बह करना मकरूह है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.24:— पहला दिन यानी दसवीं तारीख़ सब में अफ़ज़ल है फिर ग्यारहवीं और पिछला दिन यानी बारहवीं सब में कम दर्जा है और अगर तारीख़ों में शक हो यानी तीस का चाँद माना गया है और उन्तीस के होने का भी शुबह है मसलन गुमान था कि उन्तीस का चाँद होगा मगर अब्र वग़ैरा की वजह से न दिखा या शहादतें गुज़रीं मगर किसी वजह से क़बूल न हुई ऐसी हालत में दसवीं के मुतअ़ल्लिक़ यह शुबह है कि शायद आज ग्यारहवीं हो तो बेहतर यह है कि क़ुर्बानी को बारहवीं तक मुअख़्ख़र न करे यानी बारहवीं से पहले कर डाले क्योंकि बारहवीं के मुतअ़ल्लिक़ तेरहवीं तारीख़ होने का शुबह होगा तो यह शुबह होगा कि वक़्त से बाद में हुई और इस सूरत में अगर बारहवीं को क़ुर्बानी की जिस के मुतअ़ल्लिक़ तेरहवीं होने का शुबह है तो बेहतर यह है कि सारा गोश्त सदक़ा कर डाले बल्कि ज़बह की हुई बकरी और ज़िन्दा बकरी में क़ीमत का तफ़ावुत हो कि ज़िन्दा की क़ीमत कुछ ज़ाइद हो तो इस ज़्यादती को भी सदक़ा कर दे।(आलमगीरी)

मसअ्ला.25:— अय्यामे नहर में क़ुर्बानी करना उतनी क़ीमत के सदक़ा करने से अफ़ज़ल है क्योंकि क़ुर्बानी वाजिब है या सुन्नत और सदक़ा करना ततव्वोअ़ महज़(नफ़ली इबादत)है लिहाज़ा क़ुर्बानी अफ़ज़ल हुई(आलमगीरी)और वुजूब की सूरत में बिग़ैर क़ुर्बानी किये ओहदा'बर'आ नहीं होसकता(वाजिब अदा नहीं हो सकता)

मसअ्ला.26:— शहर में क़ुर्बानी की जाये तो शर्त यह है कि नमाज़ हो चुके लिहाज़ा नमाज़े ईद से पहले शहर में क़ुर्बानी नहीं हो सकती और देहात में चूँकि नमाज़े ईद नहीं है यहाँ तुलूअ़े फ़ज्र के बाद से ही क़ुर्बानी हो सकती है और देहात में बेहतर यह है कि बाद तुलूअ़े आफ़ताब क़ुर्बानी की जाये और शहर में बेहतर यह है कि ईद का ख़ुतबा हो चुकने के बाद क़ुर्बानी की जाये।(आलमगीरी)यानी नमाज़ होचुकी है और अभी ख़ुतबा नहीं हुआ है इस सूरत में क़ुर्बानी होजायेगी मगर ऐसा करना मकरूह है।

मसअ्ला.27:— यह जो शहर व देहात का फ़र्क़ बताया गया यह मक़ामे क़ुर्बानी के लिहाज़ से है क़ुर्बानी करने वाले के एअ़्तिबार से नहीं यानी देहात में क़ुर्बानी हो तो वह वक़्त है अगर्चे क़ुर्बानी करने वाला शहर में हो और शहर में हो तो नमाज़ के बाद हो अगर्चे जिस की तरफ़ से क़ुर्बानी है वह देहात में हो लिहाज़ा शहरी आदमी अगर यह चाहता है कि सुबह ही नमाज़ से पहले क़ुर्बानी की जाये बल्कि किसी मस्जिद में होगई और ईदगाह में न हुई जब भी हो सकती है।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.28:— अगर शहर में मुतअ़द्दिद जगह ईद की नमाज़ होती हो तो पहली जगह नमाज़ होचुकने के बाद क़ुर्बानी जाइज़ है यानी यह ज़रूर नहीं कि ईदगाह में नमाज़ होजाये जब ही क़ुर्बानी

की जाये बल्कि किसी मस्जिद में होगई और ईदगाह में न हुई जब भी हो सकती है।(दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.29:– दसवीं को अगर ईद की नमाज़ नहीं हुई ता कुर्बानी के लिये यह ज़रूरी है कि वक़्ते नमाज़ जाता रहे यानी ज़वाल का वक़्त आजाये अब कुर्बानी हो सकती है और दूसरे या तीसरे दिन नमाज़े ईद से क़ब्ल हो सकती है।(दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.30:– मिना में चूँकि ईद की नमाज़ नहीं होती लिहाज़ा वहाँ जो कुर्बानी करना चाहे तुलूए़ फ़ज्र के बाद से कर सकता है उसके लिये वही हुक्म है जो देहात का है किसी शहर में अगर फ़ितने की वजह से नमाज़े ईद न हो तो वहाँ दसवीं की तुलूए़ फ़ज्र के बाद कुर्बानी हो सकती है।
मसअ्ला.31:– इमाम भी नमाज़ में है और किसी ने जानवर ज़बह कर लिया अगर्चे इमाम क़अ्दा में हो और बक़द्रे तशह्हुद बैठ चुका हो मगर अभी सलाम न फेरा हो तो कुर्बानी नहीं हुई और अगर इमाम ने एक तरफ़ सलाम फेर लिया है दूसरी तरफ़ बाक़ी था कि उस ने ज़बह कर दिया कुर्बानी होगई और बेहतर यह है कि ख़ुत्बा से जब इमाम फ़ारिग़ होजाये उस वक़्त कुर्बानी की जाये(आलमगीरी)
मसअ्ला.32:– इमाम ने नमाज़ पढ़ली उस के बाद कुर्बानी हुई फिर मालूम हुआ कि इमाम ने बिग़ैर वुज़ू नमाज़ पढ़ादी तो नमाज़ का इआ़दा किया जाये कुर्बानी के इआ़दा की ज़रूरत नहीं(दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.33:– यह गुमान था कि आज अ़रफ़ा का दिन (यानी नवीं जिलहिज्जा का दिन) है और किसी ने ज़वाले आफ़ताब के बाद कुर्बानी करली फिर मालूम हुआ कि अ़रफ़ा का दिन न था बल्कि दसवीं तारीख़ थी तो कुर्बानी जाइज़ होगई यूँहीं अगर दसवीं को नमाज़े ईद से पहले कुर्बानी करली फिर मालूम हुआ कि वह दसवीं न थी बल्कि ग्यारहवीं थी तो उसकी भी कुर्बानी जाइज़ होगई।(आलमगीरी)
मसअ्ला.34:– नवीं के मुतअ़ल्लिक़ कुछ लोगों ने गवाही दी कि दसवीं है इस बिना पर उसी रोज़ नमाज़ पढ़कर कुर्बानी की फिर मालूम हुआ कि गवाही ग़लत थी वह नवीं तारीख़ थी तो नमाज़ भी होगई और कुर्बानी भी।(दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.35:– अय्यामे नहर गुज़र गये और जिस पर कुर्बानी वाजिब थी उसने नहीं की है तो कुर्बानी फ़ौत होगई अब नहीं हो सकती फिर अगर उसने कुर्बानी का जानवर मुअ़य्यन कर रखा है म़स्लन मुअ़य्यन जानवर की कुर्बानी की मन्नत मान ली है वह शख़्स ग़नी हो या फ़क़ीर बहर सूरत उसी मुअ़य्यन जानवर को ज़िन्दा स़दक़ा करे और अगर ज़बह कर डाला तो सारा गोश्त स़दक़ा करे उस में से कुछ न खाये और अगर कुछ खालिया है तो जितना खाया है उसकी क़ीमत स़दक़ा करे और अगर ज़बह किये हुये जानवर की क़ीमत ज़िन्दा जानवर से कुछ कम है तो जितनी कमी है उसे भी स़दक़ा करे और फ़क़ीर ने कुर्बानी की नियत से जानवर ख़रीदा है और कुर्बानी के दिन निकल गये चूँकि उस पर भी उसी मुअ़य्यन जानवर की कुर्बानी वाजिब है लिहाज़ा इस जानवर को ज़िन्दा स़दक़ा करदे और अगर ज़बह कर डाला तो वही हुक्म है जो मन्नत में मज़कूर हुआ। यह हुक्म उसी सूरत में है कि कुर्बानी ही के लिये ख़रीदा हो अगर उसके पास पहले से कोई जानवर था और उसने उस के कुर्बानी करने की नियत करली या ख़रीदने के बाद कुर्बानी की नियत की तो उस पर कुर्बानी वाजिब न हुई और ग़नी ने कुर्बानी के लिये जानवर ख़रीद लिया है तो वही जानवर स़दक़ा करदे और ज़बह कर डाला तो वही हुक्म है जो मज़कूर हुआ और ख़रीदा न हो तो बकरी की क़ीमत स़दक़ा करे।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल मुहतार)
मसअ्ला.36:– कुर्बानी के दिन गुज़र गये और उसने कुर्बानी नहीं की और जानवर या उसकी क़ीमत को स़दक़ा भी नहीं किया यहाँ तक कि दूसरी बक़रईद आगई अब यह चाहता है कि साले गुज़श्ता की कुर्बानी की क़ज़ा इस साल करले यह नहीं हो सकता बल्कि अब भी वही हुक्म है कि जानवर या उस की क़ीमत स़दक़ा करे।(आलमगीरी)
मसअ्ला.37:– जिस जानवर की कुर्बानी वाजिब थी अय्यामे नहर गुज़रने के बाद उसे बेच डाला तो स़मन का स़दक़ा करना वाजिब है।(आलमगीरी)
मसअ्ला.38:– किसी शख़्स ने यह वसिय्यत की कि उसकी तरफ़ से कुर्बानी करदी जाये और यह नहीं बताया कि गाय या बकरी किस जानवर की कुर्बानी की जाये और न क़ीमत बयान की कि उतने का जानवर ख़रीदकर कुर्बानी की जाये यह वसिय्यत जाइज़ है और बकरी कुर्बान करदेने से

वसियत पूरी होगई और अगर किसी को वकील किया कि मेरी तरफ़ से कुर्बानी करदेना और गाय या बकरी का तअय्युन न किया और क़ीमत भी बयान नहीं की तो यह तौकील(वकील बनाना)सहीह नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला.39:– कुर्बानी की मन्नत और यह मुअय्यन नहीं किया कि गाय की कुर्बानी करेगा या बकरी की तो मन्नत सहीह है बकरी की कुर्बानी कर देना काफ़ी है और अगर बकरी की कुर्बानी की मन्नत मानी तो ऊँट या गाय कुर्बानी कर देने से भी मन्नत पूरी हो जायेगी मन्नत की कुर्बानी में से कुछ न खाये बल्कि सारा गोश्त वग़ैरा सदक़ा करदे और कुछ खा लिया तो जितना खाया उस की क़ीमत सदक़ा करे।(आलमगीरी)

कुर्बानी के जानवर का बयान

मसअ्ला.1:– कुर्बानी के जानवर तीन क़िस्म के हैं ऊँट, गाय, बकरी,। हर क़िस्म में उस की जितनी नोअें (क़िस्में) हैं सब दाख़िल हैं नर और मादा ख़स्सी और ग़ैर ख़स्सी सब का एक हुक्म है यानी सब की कुर्बानी हो सकती है। भैंस, गाय में शुमार है उसकी भी कुर्बानी हो सकती है। भेड़ और दुम्बा बकरी में दाख़िल हैं उन की भी कुर्बानी हो सकती है।(आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला.2:– वहशी जानवर जैसे नील गाय और हिरन उनकी कुर्बानी नहीं हो सकती वहशी और घरेलू जानवर से मिलकर बच्चा पैदा हुआ मसलन हिरन और बकरी से उस में माँ का एअ्तिबार है यानी उस बच्चे की माँ बकरी है तो जाइज़ है और बकरे और हिरनी से पैदा है तो नाजाइज़(आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– कुर्बानी के जानवर की उम्र यह होनी चाहिए ऊँट पाँच साल का, गाय दो साल की, बकरी एक साल की, इस से उम्र कम हो तो कुर्बानी जाइज़ नहीं ज़्यादा हो तो जाइज़ बल्कि अफ़ज़ल है हाँ दुम्बा या भेड़ का छः माहा बच्चा अगर इतना बड़ा हो कि दूर से देखने में साल भर का मालूम होता हो तो उसकी कुर्बानी जाइज़ है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– बकरी की क़ीमत और गोश्त अगर गाय के सातवें हिस्से की बराबर हो तो बकरी अफ़ज़ल है और गाय के सातवें हिस्से में बकरी से ज़्यादा गोश्त हो तो गाय अफ़ज़ल है यानी जब दोनों की एक ही क़ीमत हो और मिक़दार भी एक ही हो तो जिस का गोश्त अच्छा हो वह अफ़ज़ल है और अगर गोश्त की मिक़दार में फ़र्क़ हो तो जिस में गोश्त ज़्यादा हो वह अफ़ज़ल है और मेंढा भेड़ से और दुम्बा, दुम्बी से अफ़ज़ल है जबकि दोनों की एक क़ीमत हो और दोनों में गोश्त बराबर हो बकरी बकरे से अफ़ज़ल है मगर ख़स्सी बकरा बकरी से अफ़ज़ल है और ऊँटनी ऊँट से और गाय बैल से अफ़ज़ल है जब कि गोश्त और क़ीमत में बराबर हों।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.5:– कुर्बानी के जानवर को ऐब से ख़ाली होना चाहिए और थोड़ा सा ऐब हो तो कुर्बानी हो जायेगी मगर मकरूह होगी और ज़्यादा ऐब हो तो होगी ही नहीं। जिस के पैदाइशी सींग न हों उसकी कुर्बानी जाइज़ है और अगर सींग थे मगर टूट गया और मींग तक टूटा है तो नाजाइज़ है इस से कम टूटा है तो जाइज़ है जिस जानवर में जुनून है अगर इस हद का है कि वह जानवर चरता भी नहीं है तो उसकी कुर्बानी नाजाइज़ है और उस हद का नहीं है तो जाइज़ है। ख़स्सी यानी जिस के ख़ुसिये निकाल लिये गये हैं या मजबूब यानी जिस के ख़ुसिये और अज़वे तनासुल सब काट लिये गये हों उन की कुर्बानी जाइज़ है। इतना बूढ़ा कि बच्चा के क़ाबिल न रहा या दाग़ा हुआ जानवर या जिसके दूध न उतरता हो उन सब की कुर्बानी जाइज़ है। ख़ारिश्ती जानवर की कुर्बानी जाइज़ है जब कि फ़रबा हो और इतना लाग़र हो कि हड्डी में मग़्ज़ न रहा तो कुर्बानी जाइज़ नहीं।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार, आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– भींगे जानवर की कुर्बानी जाइज़ है अन्धे जानवर की कुर्बानी जाइज़ नहीं और काना जिसका कानापन ज़ाहिर हो उस की भी कुर्बानी नाजाइज़। इतना लाग़र जिस की हड्डियों में मग़्ज़ न हो और लंगड़ा जो कुर्बान गाह तक अपने पाँव से न जा सके और इतना बीमार जिस की बीमारी ज़ाहिर हो और जिस के कान या दुम या चक्की कटे हों यानी वह अज़ू तिहाई से ज़्यादा कटा हो इन सब की कुर्बानी नाजाइज़ है और अगर कान या दुम या चक्की तिहाई या इस से कम कटी हो

तो जाइज़ है। जिस जानवर के पैदायशी कान न हों या एक कान न हो उस की ना'जाइज़ है और जिस के कान छोटे हों उस की जाइज़ है जिस जानवर की तिहाई से ज़्यादा नज़र जाती रही उस की भी क़ुर्बानी ना'जाइज़ है. अगर दोनों आँखों की रोशनी कम हो तो उसका पहचानना आसान है और सिर्फ़ एक आँख की कम हो तो उसके पहचानने का तरीक़ा यह है कि जानवर को एक दो दिन भूका रखा जाये फिर उस आँख पर पट्टी बाँध दी जाये जिस की रोशनी कम है और अच्छी आँख खुली रखी जाये और इतनी दूर चारा रखें जिस को जानवर न देखे फिर चारा को नज़दीक लाते जायें जिस जगह वह चारे को देखने लगे वहाँ निशान रखदें फिर अच्छी आँख पर पट्टी बाँध दें और दूसरी खोल दें और चारा को क़रीब करते जायें जिस जगह इस आँख से देख ले यहाँ भी निशान कर दें फिर दोनों जगहों की पैमायश करें अगर्चे यह उस पहली जगह की तिहाई है तो मालूम हुआ कि तिहाई रोशनी कम है और अगर निस्फ़ है तो मालूम हुआ कि ब'निस्बत अच्छी आँख के उसकी रोशनी आधी है।(हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– जिस के दाँत न हों या जिसके थन कटे हों या ख़ुश्क हों उसकी क़ुर्बानी ना'जाइज़ है बकरी में एक का ख़ुश्क होना ना'जाइज़ होने के लिये काफ़ी है और गाय, भैंस में दो ख़ुश्क हों तो ना'जाइज़ है। जिसकी नाक कटी हो या इलाज के ज़रीआ़ उसका दूध ख़ुश्क कर दिया हो और ख़ुन्सा जानवर या'नी जिस में नर व मादा दोनों की अ़लामतें हों और जल्लालह जो सिर्फ़ ग़लीज़ खाता हो उस सब की क़ुर्बानी ना'जाइज़ है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– भेड़ या दुम्बा की ऊन काट ली गई हो उस की क़ुर्बानी जाइज़ है और जिस जानवर का एक पाँव काट लिया गया हो उस की क़ुर्बानी ना'ज़ाइज़ है।(आ़लमगीरी)

मसअ्ला.9:– जानवर को जिस वक़्त ख़रीदा था उस वक़्त उस में ऐसा ऐब न था जिस की वजह से क़ुर्बानी ना'जाइज़ होती है बा'द में वह ऐब पैदा होगया तो अगर वह शख़्स मालिके निसाब है तो दूसरे जानवर की क़ुर्बानी करे और मालिके निसाब नहीं है तो उसी की क़ुरबानी करले यह उस वक़्त है कि उस फ़क़ीर ने पहले से अपने ज़िम्मे क़ुर्बानी वाजिब न की हो और अगर उसने मन्नत मानी है कि बकरी की क़ुर्बानी करूँगा और मन्नत पूरी करने के लिये बकरी ख़रीदी उस वक़्त बकरी में ऐसा ऐब न था फिर पैदा हो गया इस सूरत में फ़क़ीर के लिये भी यही हुक्म है कि दूसरे जानवर की क़ुर्बानी करे। (हिदाया, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.10:– फ़क़ीर ने जिस वक़्त जानवर ख़रीदा था उसी वक़्त उस में ऐसा ऐब था जिससे क़ुर्बानी ना'जाइज़ होती है और वह ऐब क़ुर्बानी के वक़्त तक बाक़ी रहा तो उसकी क़ुर्बानी कर सकता है और ग़नी ऐबदार ख़रीदे और ऐबदार ही की क़ुर्बानी करे तो ना'जाइज़ है और अगर ऐबी जानवर को ख़रीदा था और बा'द में उस का ऐब जाता रहा तो ग़नी और फ़क़ीर दोनों के लिये उस की क़ुर्बानी जाइज़ है मस्'लन ऐसा लाग़र जानवर ख़रीदा जिस की क़ुर्बानी ना'जाइज़ है और उस के यहाँ वह फ़रबा होगया तो ग़नी भी उसकी क़ुर्बानी कर सकता है।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.11:– क़ुर्बानी करते वक़्त जानवर उछला, कूदा जिसकी वजह से ऐब पैदा होगया यह ऐब मुज़िर नहीं या'नी क़ुर्बानी होजायेगी और अगर उछलने, कूदने से ऐब पैदा होगया और वह छूटकर भाग गया और फ़ौरन पकड़ लाया गया और ज़बह कर दिया गया जब भी क़ुर्बानी हो जायेगी। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.12:– क़ुर्बानी का जानवर मर गया तो ग़नी पर लाज़िम है कि दूसरे जानवर की क़ुर्बानी करे और फ़क़ीर के ज़िम्मे दूसरा जानवर वाजिब नहीं और अगर क़ुर्बानी का जानवर गुम होगया या चोरी होगया और उस की जगह दूसरा जानवर ख़रीद लिया अब वह मिल गया तो ग़नी को इख़्तियार है कि दोनों में जिस एक को चाहे क़ुर्बानी करे और फ़क़ीर पर वाजिब है कि दोनों की क़ुर्बानियाँ करे।(दुर्रेमुख़्तार) मगर ग़नी ने अगर पहले जानवर की क़ुर्बानी की तो अगर्चे उसकी क़ीमत दूसरे से कम हो कोई हरज नहीं और अगर दूसरे की क़ुर्बानी की और उस की क़ीमत पहले से कम

है तो जितनी कमी है उतनी रकम सदका करे हाँ अगर पहले को भी कुर्बान कर दिया तो अब वह तसद्दुक (सदका करना) वाजिब न रहा।(रद्दुलमुहतार)

कुर्बानी के जानवर में शिरकत

मसअ्ला.13:– सात शख़्सों ने कुर्बानी के लिये गाय ख़रीदी थी उन में एक का इन्तिक़ाल होगया उस के वुरसा ने शुरका से यह कह दिया कि तुम उस गाय को अपनी तरफ़ से और उसकी तरफ़ से कुर्बानी करो उन्होंने करली तो सब की कुर्बानियाँ जाइज़ हैं और अगर बिग़ैर इजाज़ते वुरसा उन शुरका ने की तो किसी की न हुई।(हिदाया)

मसअ्ला.14:– गाय के शुरका में से एक काफ़िर है या उन में एक शख़्स का मक़सद कुर्बानी नहीं है बल्कि गोश्त हासिल करना है तो किसी की कुर्बानी न हुई बल्कि अगर शुरका में से कोई गुलाम या मुदब्बर है जब भी कुर्बानी नहीं हो सकती क्योंकि यह लोग अगर कुर्बानी की नियत भी करें तो नियत सहीह नहीं।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.15:– शुरका में से एक की नियत इस साल की कुर्बानी है और बाक़ियों की नियत साल गुज़श्ता की कुर्बानी है तो जिस की इस साल की नियत है उसकी कुर्बानी सहीह है और बाक़ियों की नियत बातिल क्योंकि साले गुज़श्ता की कुर्बानी इस साल नहीं हो सकती उन लोगों की यह कुर्बानी ततव्वोअ् यानी नफ़्ल हुई और उन लोगों पर लाज़िम है कि गोश्त को सदका करदें बल्कि उनका साथी जिस की कुर्बानी सहीह हुई है वह भी गोश्त सदका करदे।(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.16:– कुर्बानी के सब शुरका की नियत तक़र्रुब हो उस का यह मतलब है कि किसी का इरादा गोश्त का न हो और यह ज़रूर नहीं कि वह तक़र्रुब एक ही क़िस्म का हो मस्लन सब कुर्बानी ही करना चाहते हैं बल्कि अगर मुख़्तलिफ़ क़िस्म के तक़र्रुब हों वह तक़र्रुब सब पर वाजिब हो या किसी पर वाजिब हो और किसी पर वाजिब न हो हर सूरत में कुर्बानी जाइज़ है मस्लन दमे एहसार और एहराम में शिकार करने की जज़ा और सर मुंडाने की वजह से दम वाजिब हुआ हो और तमत्तोअ् व क़िरान का दम (तफ़सील के लिये बहारे शरीअत हिस्सा 6 देखें (अमीनुल क़ादरी)) कि उन सब के साथ कुर्बानी की शिरकत हो सकती है। इसी तरह कुर्बानी और अक़ीक़ा की भी शिरकत हो सकती है कि अक़ीक़ा भी तक़र्रुब की एक सूरत है।(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.17:– तीन शख़्सों ने कुर्बानी के जानवर ख़रीदे एक ने दस का दूसरा ने बीस का तीसरे ने तीस का और हर एक ने जितने में ख़रीदा है उस की वाजिबी क़ीमत भी उतनी ही है यह तीनों जानवर मिल गये यह पता नहीं चलता कि किस का कौन है तीनों ने यह इत्तिफ़ाक़ कर लिया कि एक एक जानवर हर शख़्स कुर्बानी करे चुनाँचे ऐसा ही किया गया सब की कुर्बानियाँ हो गईं मगर जिस ने तीस में ख़रीदा था वह बीस रूपये ख़ैरात करे क्योंकि मुम्किन है कि दस वालों को उस ने कुर्बानी किया हो और जिस ने बीस में ख़रीदा था वह दस रुपये ख़ैरात करे और जिस ने दस में ख़रीदा था उस पर कुछ सदका करना वाजिब नहीं अगर हर एक ने दूसरे को ज़बह करने की इजाज़त देदी तो कुर्बानी हो जायेगी और इस पर कुछ वाजिब न होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

कुर्बानी के बाज़ मुस्तहब्बात

मसअ्ला.18:– मुस्तहब यह है कि कुर्बानी का जानवर ख़ूब फरबा और ख़ूबसूरत और बड़ा हो और बकरी की क़िस्म में से कुर्बानी करनी हो तो बेहतर सींग वाला मेंढा चितकबरा हो जिस के ख़ुसिये काटकर ख़स्सी कर दिया हो कि हदीस में है हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐसे मेंढा की कुर्बानी की।(आलमगीरी)

मसअ्ला.19:– ज़बह करने से पहले छुरी को तेज़ कर लिया जाये और ज़बह के बाद जब तक जानवर ठन्डा न होजाये उस के तमाम अअ्ज़ा से रूह निकल न जाये उस वक़्त तक हाथ पाँव न काटें और न चमड़ा उतारें और बेहतर यह है कि अपनी कुर्बानी अपने हाथ से करे अगर अच्छी तरह ज़बह करना जानता हो और अगर अच्छी तरह न जानता हो तो दूसरे को हुक्म दे वह ज़बह करे मगर इस सूरत में बेहतर है कि वक़्ते कुर्बानी हाज़िर हो हदीस में है हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु

तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु तआला अन्हा से फ़रमाया कि खड़ी हो जाओ और अपनी कुर्बानी के पास हाज़िर होजाओ कि उस के ख़ून के पहले ही क़तरे में जो कुछ गुनाह किये हैं सब की मग़्फ़िरत होजायेगी उस पर अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की या नबीयल्लाह यह आप की आल के लिये ख़ास है या आप की आल के लिये भी है और आम्मा-ए-मुस्लिमीन के लिये भी फ़रमाया कि मेरी आल के लिये ख़ास भी है और तमाम मुस्लिमीन के लिये आम भी है। (आलमगीरी, ज़ैलई, शलबिया)

मसअला.20:– कुर्बानी का जानवर मुसलमान से ज़बह कराना चाहिए अगर किसी मजूसी या दूसरे मुश्रिक से कुर्बानी का जानवर ज़बह करा दिया तो कुर्बानी नहीं हुई बल्कि यह जानवर हराम व मुर्दार है और किताबी से कुर्बानी का जानवर ज़बह कराना मकरूह है कि कुर्बानी से मक़सूद तक़र्रुब इलल्लाह है उस में काफ़िर से मदद न ली जाये बल्कि बाज़ अइम्मा के नज़्दीक इस सूरत में भी कुर्बानी नहीं होगी मगर हमारा मज़हब वही पहला है कि कुर्बानी हो जायेगी और मकरूह है(ज़ैलई शल्बिया)

कुर्बानी का गोश्त व पोस्त वग़ैरा क्या करे

मसअला.21:– कुर्बानी का गोश्त ख़ुद भी खा सकता है और दूसरे शख़्स ग़नी या फ़क़ीर को दे सकता है, खिला सकता है बल्कि उस में से कुछ खा लेना कुर्बानी करने वाले के लिये मुस्तहब है। बेहतर यह है कि गोश्त के तीन हिस्से करे एक हिस्सा फ़ुक़रा के लिये और एक हिस्सा दोस्त व अहबाब के लिये और एक हिस्सा अपने घर वालों के लिये एक तिहाई से कम सदक़ा न करे। और कुल को सदक़ा कर देना भी जाइज़ है और कुल घर ही रख ले यह भी जाइज़ है। तीन दिन से ज़ाइद अपने और घरवालों के खाने के लिये रख लेना भी जाइज़ है और बाज़ हदीसों में उस की मुमानअत आई है वह मन्सूख़ है अगर इस शख़्स के अहल व अयाल बहुत हों और साहिबे वुस्अत नहीं है तो बेहतर यह है कि सारा गोश्त अपने बाल बच्चों ही के लिये रख छोड़े।(आलमगीरी)

मसअला.22:– कुर्बानी का गोश्त काफ़िर को न दे कि यहाँ के कुफ़्फ़ार हरबी हैं।

मसअला.23:– कुर्बानी अगर मन्नत की है तो उस का गोश्त न ख़ुद खा सकता है न अग़निया को खिला सकता है बल्कि इस को सदक़ा कर देना वाजिब है। वह मन्नत मानने वाला फ़क़ीर हो या ग़नी दोनों का एक ही हुक्म है कि ख़ुद नहीं खा सकता है न ग़नी को खिला सकता है।(जैअलई)

मसअला.24:– मय्यित की तरफ़ से कुर्बानी की तो उसके गोश्त का भी वही हुक्म है कि ख़ुद खाये दोस्त अहबाब को दे फ़क़ीरों को दे यह ज़रूर नहीं कि सारा गोश्त फ़क़ीरों ही को दे क्योंकि गोश्त उसकी मिल्क है यह सब कुछ कर सकता है अगर मय्यित ने कह दिया है कि मेरी तरफ़ से कुर्बानी कर देना तो इस में से न खाये बल्कि कुल गोश्त सदक़ा करदे।(रद्दुल मुहतार)

मसअला.25:– कुर्बानी का चमड़ा और उस की झूल और रस्सी और उस के गले में हार डाला है वह हार उन सब चीज़ों को सदक़ा करदे। कुर्बानी के चमड़े को ख़ुद भी अपने काम में ला सकता है यानी उस को बाक़ी रखते हुए अपने किसी काम में ला सकता है मस्लन उस की जा'नमाज़ बनाये। चलनी, थैली, मश्कीज़ा, दस्तर ख़्वान, डोल वग़ैरा बनाये या किताबों की जिल्दों में लगाये यह सब कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार) चमड़े का डोल बनाया तो उसी अपने काम में लाये उजरत पर न दे और अगर उजरत पर देदिया तो इस उजरत को सदक़ा करे।(रद्दुलमुहतार)

मसअला.26:– कुर्बानी के चमड़े को ऐसी चीज़ों से बदल सकता है जिस को बाक़ी रखते हुए उस से नफ़अ़ उठाया जाये जैसे किताब ऐसी चीज़ से बदल नहीं सकता जिस को हलाक कर के नफ़अ़ हासिल किया जाता हो जैसे रोटी, गोश्त, सिर्का, रुपया, पैसा और अगर उसने उन चीज़ों को चमड़े के ऐवज़ हासिल किया तो उन चीज़ों को सदक़ा करदे।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.27:– अगर कुर्बानी की खाल को रुपये के एवज़ में बेचा मगर इस लिये नहीं कि उस को अपनी ज़ात पर या बाल बच्चों पर सर्फ़ (ख़र्च) करेगा बल्कि इस लिये कि उसे सदक़ा कर देगा तो

जाइज़ है।(आलमगीरी) जैसा कि अजकल अकसर लोग खाल मदारिसे दीनिया में दिया करते हैं और बाज़ मर्तबा वहाँ खाल भेजने में दिक़्क़त होती है उसे बेचकर रुपया भेज देते हैं या कई शख़्सों को देना होता है उसे बेचकर दाम उन फ़ुक़रा पर तक़सीम कर देते हैं यह बैअ़ जाइज़ है उस में हरज नहीं और हदीस में जो इस के बेचने की मुमानअ़त आई है इस से मुराद अपने लिये बेचना है।

मसअ्ला.28:– गोश्त का भी वही हुक्म है जो चमड़े का है कि इस को अगर ऐसी चीज़ के बदले में बेचा जिस को हलाक कर के नफ़अ़ हासिल किया जाये तो सदक़ा करदे।(हिदाया)

मसअ्ला.29:– कुर्बानी की चर्बी और उस की सिरी, पाये और ऊन और दूध जो ज़बह के बाद दूहा है उन सब का वही हुक्म कि अगर ऐसी चीज़ उस के एवज़ में ली जिस को हलाक करके नफ़अ़ हासिल करेगा तो उस को सदक़ा करदे।(आलमगीरी)

मसअ्ला.30:– कुर्बानी का चमड़ा या गोश्त या इस में की कोई चीज़ क़स्साब या ज़बह करने वाले को उजरत में नहीं दे सकता कि उस को उजरत में देना भी बेचने ही के मअ़्ना में है।(हिदाया)

मसअ्ला.31:– क़स्साब को उजरत में नहीं दिया बल्कि जैसे दूसरे मुसलमानों को देता है उस को भी दिया और उजरत अपने पास से दूसरी चीज़ देगा तो जाइज़ है।

मसअ्ला.32:– भेड़ के किसी जगह के बाल निशानी के लिये काट लिये हैं उन बालों को फेंक देना या किसी को हिबा कर देना ना'जाइज़ है बल्कि उन्हें सदक़ा करे।(आलमगीरी)

ज़बह से पहले कुर्बानी के जानवर से मनफ़अ़त हासिल करना मना है

मसअ्ला.33:– ज़बह से पहले कुर्बानी के जानवर के बाल अपने किसी काम के लिये काट लेना या उस का दूध दोहना मकरूह व ममनूअ़ है और कुर्बानी के जानवर पर सवार होना या उस पर कोई चीज़ लादना या उस को उजरत पर देना ग़र्ज़ उस से मुनाफ़अ़ हासिल करना मनअ़ है अगर उस ने ऊन काट ली या दूध दोह लिया तो उसे सदक़ा करदे और उजरत पर जानवर को दिया है तो उजरत को सदक़ा करे और अगर खुद सवार हुआ या उस पर कोई चीज़ लादी तो इस की वजह से जानवर में जो कुछ कमी आई उतनी मिक़दार में सदक़ा करे।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.34:– जानवर दूध वाला है तो उस के थन पर ठन्डा पानी छिड़के कि दूध खुश्क होजाये अगर इस से काम न चले तो जानवर को दोहकर दूध सदक़ा करे।(आलमगीरी)

मसअ्ला.35:– जानवर ज़बह होगया तो अब उस के बाल को अपने काम के लिये काट सकता है और अगर उस के थन में दूध है तो दोह सकता है कि जो मक़सूद था वह पूरा हो गया अब यह उसकी मिल्क है अपने सर्फ़ में ला सकता है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.36:– कुर्बानी के लिये जानवर ख़रीदा था कुर्बानी करने से पहले उसके बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को भी ज़बह कर डाले और अगर बच्चे को बेच डाला तो उस का समन सदक़ा करदे और अगर न ज़बह किया न बैअ़ किया और अय्यामे नहर गुज़र गये तो उस को ज़िन्दा सदक़ा करदे और अगर कुछ न किया और बच्चा उस के यहाँ रहा और कुर्बानी का ज़माना आगया यह चाहता है कि इस साल की कुर्बानी में उसी को ज़बह करे यह नहीं कर सकता और अगर कुर्बानी उसी की करदी तो दूसरी कुर्बानी फिर करे कि वह कुर्बानी नहीं हुई और वह बच्चा ज़बह किया हुआ सदक़ा करदे बल्कि ज़बह से जो कुछ उस की क़ीमत में कमी हुई उसे भी सदक़ा करे(आलमगीरी)

मसअ्ला.37:– कुर्बानी की और उसके पेट में ज़िन्दा बच्चा है तो उसे भी ज़बह करदे और उसे सर्फ़ में ला सकता है और मरा हुआ बच्चा हो तो उसे फेंक दे मुर्दार है।

दूसरे के कुर्बानी के जानवर को बिला इजाज़त ज़बह कर दिया

मसअ्ला38:– दो शख़्सों ने ग़लती से यह किया कि हर एक ने दूसरे की कुर्बानी की बकरी ज़बह करदी यानी हर एक ने दूसरे की बकरी को अपनी समझकर कुर्बानी कर दिया तो बकरी जिस की थी उसी की कुर्बानी हुई और चूंकि दोनों ने ऐसा किया लिहाज़ा दोनों की कुर्बानियाँ होगईं और इस

सूरत में किसी पर तावान नहीं बल्कि हर एक अपनी अपनी बकरी ज़बह शुदा लेले और फ़र्ज़ करो कि हर एक को अपनी ग़लती उस वक़्त मालूम हुई जब उस बकरी को सर्फ़ कर चुका तो चूंकि हर एक ने दूसरे की बकरी खा डाली लिहाज़ा हर एक दूसरे से मुआफ कराले और अगर मुआफ़ी पर राज़ी न हो तो चूंकि हर एक ने दूसरे की कुर्बानी का गोश्त बिला इजाजत खा डाला गोश्त की क़ीमत का तावान लेले उस तावान को सदका करे कि कुर्बानी के गोश्त के मुआवज़ा को यही हुक्म है। यह तमाम बातें उस वक्त हैं कि हर एक दूसरे के इस फ़ेअ्ल पर कि उसने इस की बकरी ज़बह कर डाली राज़ी हो तो जिस की बकरी थी उसी की कुर्बानी हुई और अगर राज़ी न हो तो बकरी की क़ीमत का तावान लेगा और इस सूरत में जिसने ज़बह की उस की कुर्बानी हुई यानी बकरी का जब तावान लिया तो बकरी ज़ाबेह की होगई और उसी की जानिब से कुर्बानी हुई और गोश्त का भी यही मालिक हुआ।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.39:— दूसरे की कुर्बानी की बकरी बिग़ैर उस की इजाज़त के क़स्दन ज़बह करदी उस की दो सूरतें हैं मालिक की तरफ़ से उसने कुर्बानी की या अपनी तरफ़ से अगर मालिक की नियत से कुर्बानी की तो उस की कुर्बानी होगई कि वह जानवर कुर्बानी के लिये था और कुर्बान कर दिया गया इस सूरत में मालिक उस से तावान नहीं ले सकता और अगर इस ने अपनी तरफ़ से कुर्बानी की और ज़बह शुदा बकरी के लेने पर मालिक राज़ी है तो कुर्बानी मालिक की जानिब से हुई और ज़ाबेह की नियत का एअ्तिबार नहीं और मालिक अगर इस पर राज़ी नहीं बल्कि बकरी का तावान लेता है तो मालिक की कुर्बानी नहीं हुई बल्कि ज़ाबेह की हुई कि तावान देने से बकरी का मालिक होगया और उस की अपनी कुर्बानी होगई।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.40:— अगर बकरी कुर्बानी के लिये मुअ़य्यन न हो तो बिग़ैर इजाज़ते मालिक अगर दूसरा शख़्स कर देगा तो कुर्बानी न होगी मस्लन एक शख़्स ने पाँच बकरियाँ ख़रीदी थीं और उसका यह ख़याल था कि उन में से एक बकरी को कुर्बानी करूँगा और उन में से किसी एक को मुअ़य्यन नहीं किया था तो दूसरा शख़्स मालिक की जानिब से कुर्बानी नहीं कर सकता अगर करेगा तो तावान लाज़िम होगा ज़बह के बाद मालिक उसकी कुर्बानी की नियत करे बेकार है यानी इस सूरत में कुर्बानी नहीं हुई।(रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.41:— दूसरे की बकरी ग़सब करली और उसकी कुर्बानी करली अगर मालिक ने ज़िन्दा बकरी का उस शख़्स से तावान लेलिया तो कुर्बानी होगई मगर यह शख़्स गुनेहगार है इस पर तौबा व इस्तिग़फ़ार लाज़िम है और अगर मालिक ने तावान नहीं लिया बल्कि ज़बह की हुई बकरी ली और ज़बह करने से जो कुछ कमी हुई उसका तावान लिया तो कुर्बानी नहीं हुई।(रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.42:— अपनी बकरी दूसरे की तरफ़ से ज़बह करदी उसके हुक्म से ऐसा किया या बिग़ैर हुक्म बहर सूरत उसकी कुर्बानी नहीं क्योंकि उसकी तरफ़ से कुर्बानी उस वक़्त हो सकती है जब उसकी मिल्क हो।(शल्बिया)

मसअ्ला.43:— एक शख़्स के पास किसी की बकरी अमानत के तौर पर थी अमीन ने कुर्बानी करदी यह कुर्बानी सहीह नहीं न मालिक की तरफ़ से न अमीन की तरफ़ से अगर्चे मालिक ने अमीन से अपनी बकरी का तावान लिया हो उसी तरह अगर किसी का जानवर उसके पास आरियत या इजारा के तौर पर है और उसने कुर्बानी कर दिया यह कुर्बानी जाइज़ नहीं मरहून को राहिन ने कुर्बानी किया तो होजायेगी कि जानवर उस की मिल्क है और मरहून ने किया तो उसमें इख़्तिलाफ़ है।(रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.44:— मवेशी ख़ाना के जानवर एक मुद्दते मुक़र्ररा के बाद नीलाम होजाते हैं और बाज़ लोग उसे ले लेते हैं उसकी कुर्बानी जाइज़ नहीं क्योंकि वह जानवर उसकी मिल्क नहीं।

मसअ्ला.45:— दो शख़्सों के माबैन एक जानवर मुश्तरक है उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती कि मुश्तरक माल में दोनों का हिस्सा है एक का हिस्सा दूसरे के पास अमानत है और अगर दो जानवरों

में दो शख़्स बराबर के शरीक हैं हर एक ने एक एक की कुर्बानी करदी दोनों की कुर्बानियाँ हो जायेंगी।(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.46:– एक शख़्स के नौ बाल–बच्चे हैं और एक खुद, उस ने दस बकरियों की कुर्बानी की और यह नियत नहीं कि किसकी तरफ़ से किस बकरी की कुर्बानी है मगर यह नियत ज़रूर है कि दसों बकरियां हम दसों की तरफ़ से हैं यह कुर्बानी जाइज़ है सब की कुर्बानियाँ हो जायेंगी।(आलमगीरी)

मसअ्ला.47:– अपनी तरफ़ से और अपने बच्चों की तरफ़ से गाय की कुर्बानी की अगर वह ना'बालिग़ हैं तो सब की कुर्बानियाँ जाइज़ हैं और बालिग़ हैं और सब लड़कों ने कह दिया है तो सब की तरफ़ से सहीह है और अगर उन्होंने कहा नहीं या बाज़ ने नहीं कहा है तो किसी की कुर्बानी नहीं हुई।(आलमगीरी)

मसअ्ला.48:– बैअ् फ़ासिद के ज़रीआ बकरी ख़रीदी और कुर्बानी करदी यह कुर्बानी होगई कि बैअ् फ़ासिद में क़ब्ज़ा कर लेने से मिल्क होजाती है और बाइअ् को इख़्तियार है अगर उसने ज़िन्दा बकरी की वाजिबी क़ीमत मुश्तरी से लेली तो अब उस के ज़िम्मे कुछ वाजिब नहीं और अगर बाइअ् ने ज़बह की हुई बकरी लेली तो कुर्बानी करने वाला उस ज़बह की हुई बकरी की क़ीमत सदक़ा करे(आलमगीरी)

मसअ्ला.49:– एक शख़्स ने दूसरे को बकरी हिबा करदी मोहूब'लहू ने उसकी कुर्बानी करदी उसके बाद वाहिब अपना हिबा वापस लेना चाहता है वह वापस ले सकता है और मोहूब'लहू की कुर्बानी सहीह है और उसके ज़िम्मे कुछ सदक़ा करना भी वाजिब नहीं।(आलमगीरी)

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

मसअ्ला.50:– दूसरे से कुर्बानी ज़बह कराई ज़बह के बाद वह यह कहता है मैंने क़स्दन बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी इस को उस जानवर की क़ीमत देनी होगी फिर अगर कुर्बानी का वक़्त बाक़ी है तो इस क़ीमत से दूसरा जानवर ख़रीदकर कुर्बानी करे और उसका गोश्त सदक़ा करे खुद न खाये और वक़्त बाक़ी न हो तो इस क़ीमत को सदक़ा करदे।(आलमगीरी)

मसअ्ला.51:– तीन शख़्सों ने तीन बकरियाँ कुर्बानी के लिये ख़रीदीं फिर यह बकरियाँ मिल गईं पता नहीं चलता कि किस की कौनसी बकरी है इस सूरत में यह करना चाहिए कि हर एक दूसरे को ज़बह करने का वकील करदे सब की कुर्बानियाँ होजायेंगी कि उसने अपनी बकरी ज़बह की जब भी जाइज़ है और दूसरे की ज़बह की जब भी जाइज़ है कि यह उसका वकील है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.52:– दूसरे से ज़बह कराया और खुद अपना हाथ भी छुरी पर रख दिया कि दोनों ने मिलकर ज़बह किया तो दोनों पर बिस्मिल्लाह कहना वाजिब है एक ने भी क़स्दन छोड़दी या यह ख़याल करके छोड़दी कि दूसरे ने कह ली मुझे कहने की क्या ज़रूरत दोनों सूरतों में जानवर हलाल न हुआ।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.53:– कुर्बानी के लिये गाय ख़रीदी फिर उस में छः शख़्सों को शरीक कर लिया सब की कुर्बानियाँ होजायेंगी मगर ऐसा करना मकरूह है हाँ अगर ख़रीदने ही के वक़्त उसका यह इरादा था कि उस में दूसरों को शरीक करूँगा तो मकरूह नहीं और अगर ख़रीदने से पहले ही शिरकत करली जाये तो यह सब से बेहतर। और अगर ग़ैर मालिके निसाब ने कुर्बानी के लिये गाय ख़रीदी तो ख़रीदने से ही उस पर इस गाय की कुर्बानी वाजिब होगई अब वह दूसरे को शरीक नहीं कर सकता।(आलमगीरी)

मसअ्ला.54:– पाँच शख़्सों ने कुर्बानी के लिये गाय ख़रीदी एक शख़्स आता है वह यह कहता है मुझे भी इस में शरीक करलो चार ने मन्जूर कर लिया और एक ने इन्कार किया उस गाय की कुर्बानी हुई सब की तरफ़ से जाइज़ होगई क्योंकि यह छठा शख़्स उन चारों का शरीक है और उन में हर एक का सातवें हिस्सा से ज़्यादा है और गोश्त यूँ तक़सीम होगा कि पाँचवाँ हिस्सा उस का है जिस ने शिरकत से इन्कार किया बाक़ी चार हिस्सों को यह पाँचों बराबर बांट लें। या यूँ करो कि पच्चीस हिस्से करके उसको पाँच हिस्से दो जिसने शिरकत से इन्कार किया है बाक़ियों को चार चार हिस्से।(आलमगीरी)

मसअला.55:– कुर्बानी के लिये बकरी ख़रीदी और कुर्बानी कर दी फिर मालूम हुआ कि बकरी में ऐब है मगर ऐसा ऐब नहीं जिस की कुर्बानी न होसके उसको इख़्तियार है कि उस की वजह से जो कुछ कीमत में कमी होसकती है वह बाइअ़ से वापस ले और इस का स़दका करना उस पर वाजिब नहीं और अगर बाइअ़ कहता है कि मैं ज़बह की हुई बकरी लूँगा और स़मन वापस कर दूँगा तो मुश्तरी उस स़मन को स़दका करदे सिर्फ़ इतना हिस़्सा जो ऐब की वजह से कम हो सकता है उस को रख सकता है।(आ़लमगीरी)

मसअला.56:– कुर्बानी की ज़बह की हुई बकरी ग़सब करली गासिब से उसका तावान ले सकता है मगर इस तावान को स़दका करना ज़रूरी है कि यह उस कुर्बानी का मुआवज़ा है।(आ़लमगीरी)

मसअला.57:– मालिके निसाब ने कुर्बानी की मन्नत मानी तो उसके ज़िम्मे दो कुर्बानियाँ वाजिब हो गईं एक वह जो ग़नी पर वाजिब होती है और एक मन्नत की वजह से दो या दो से ज़्यादा कुर्बानियों की मन्नत मानी तो जितनी कुर्बानियों की मन्नत है सब वाजिब हैं।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअला.58:– एक से ज़्यादा कुर्बानी की सब कुर्बानियाँ जाइज़ हैं एक वाजिब बाक़ी नफ़्ल और अगर एक पूरी गाय की कुर्बानी की तो पूरी से वाजिब ही अदा होगा यह नहीं कि सातवाँ हिस़्सा वाजिब हो बाक़ी नफ़्ल।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

तम्बीह:– कुर्बानी के मसाइल तफ़सील के साथ मज़कूर होचुके अब मुख़्तसर तौर पर इस का तरीक़ा बयान किया जाता है ताकि अ़वाम के लिये आसानी हो। कुर्बानी का जानवर उन शराइत़ के मुवाफ़िक़ हो जो मज़कूर हुए यानी जो इस की उ़म्र बताई गई उस से कम न हो और उन ऐब से पाक हो जिनकी वजह से कुर्बानी ना जाइज़ होती है और बेहतर यह कि उ़मदा और फ़रबा हो। कुर्बानी से पहले उसे चारा पानी देदें यानी भूका प्यासा ज़बह न करें। और एक के सामने दूसरे को न ज़बह करें और पहले से छुरी तेज़ कर लें ऐसा न हो कि जानवर गिराने के बाद उसके सामने छुरी तेज़ की जाये जानवर को बायें पहलू पर इस तरह लिटायें कि क़िब्ला को उस का मुँह और अपना दाहिना पाँव उसके पहलू पर रखकर तेज़ छुरी से जल्द ज़बह कर दिया जाये और ज़बह से पहले यह दुआ पढ़ी जाये।

إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ لَكَ وَمِنْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

तर्जमा:– "मैंने अपना मुँह उसकी तरफ़ किया जिस ने आसमान और जमीन बनाये, एक उसी का होकर, और मैं मुश्रिकों में नहीं बेशक मेरी नमाज़ और मेरी कुर्बानियाँ और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिये है जो रब सारे जहान का, उसका कोई शरीक नहीं, मुझे यही हुक्म है और मैं मुसलमानों में हूँ ऐ अल्लाह! तेरे ही लिये और तेरी दी हुई तौफ़ीक़ से अल्लाह के नाम से शुरू अल्लाह सबसे बड़ा है"।

इसे पढ़कर ज़बह करदे कुर्बानी अपनी तरफ़ से हो तो ज़बह के बाद यह दुआ पढ़े।

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ خَلِيْلِكَ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَحَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم

"ऐ अल्लाह! तू मुझ से (इस कुर्बानी को) कबूल फरमा जैसे तूने अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अपने हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबूल फरमाई"

इस तरह ज़बह करे कि चारों रगें कट जायें या कम से कम तीन रगें कट जायें इस से ज़्यादा न काटें कि छुरी गर्दन के मोहरा तक पहुँच जाये कि यह बे वजह की तकलीफ़ है फिर जब तक जानवर ठन्डा न होजाये यानी जब तक उसकी रूह बिल्कुल न निकल जाये उसके न पाँव वग़ैरा काटें न खाल उतारें और अगर दूसरे की तरफ़ से ज़बह करता है तो مِنِّيْ की जगह مِنْ के बाद उसका नाम ले और अगर वह मुश्तरक जानवर है जैसे गाय, ऊँट तो वज़न से गोश्त तक़सीम किया जाये महज़ तख़्मीना से तक़सीम न करें। फिर उस के गोश्त के तीन हिस़्से कर के एक हिस़्सा फुक़रा पर तसद्दुक़ (स़दक़ा) करे और एक हिस़्सा दोस्त व अहबाब के यहाँ भेजे और एक अपने घर वालों के लिये रखे और उस में से खुद भी कुछ खाले और अगर अहल व अयाल ज़्यादा हों तो तिहाई से ज़्यादा बल्कि कुल गोश्त भी घर के स़र्फ़ में ला सकता है और कुर्बानी का चमड़ा अपने काम में भी ला सकता है और हो सकता है कि किसी नेक काम के लिये देदे मस़लन मस्जिद या दीनी मदरसा को देदे या किसी फ़क़ीर को देदे। बाज़ जगह यह चमड़ा इमाम मस्जिद को दिया जाता है अगर इमाम की तनख़्वाह में न दिया जाता हो

बल्कि इआनत(मदद)के तौर पर हो तो हरज नहीं बहरुर्राइक में मजकूर है कि कुर्बानी करने वाला बकरईद के दिन सब से पहले कुर्बानी का गोश्त खाये इस से पहले कोई दूसरी चीज न खाए यह मुस्तहब है इस के खिलाफ करे जब भी हरज नहीं।

फ़ायदाः– अहादीस् से साबित है कि सय्यिदे आलम हज़रत मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस उम्मते मरहूमा की तरफ से कुर्बानी की यह हुजूर के बेशुमार अलताफ में से एक खास करम है कि इस मौके पर भी उम्मत का खयाल फरमाया और जो लोग कुर्बानी न कर सके उन की तरफ़ से खुद ही कुर्बानी अदा फ़रमाई। यह शुबह कि एक मेंढा उन सब की तरफ से क्योंकर हो सकता है या जो लोग अभी पैदा ही न हुए उनकी कुर्बानी क्योंकर हुई इसका जवाब यह है कि यह हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खसाइस से है जिस तरह हुजूर ने छः महीने के बकरी के बच्चे की कुर्बानी अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु के लिये जाइज फ़रमादी औरों के लिये उसकी मुमानअत करदी। उसी तरह इस में खुद हुज़ूर की खुसूसियत है। कहना यह है कि जब हुज़ूर ने उम्मत की तरफ़ से कुर्बानी की तो जो मुसलमान साहिब इस्तिताअत हो अगर हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम की एक कुर्बानी करे तो ज़हे नसीब और बेहतर सींग वाला मेंढा है जिस की स्याही में सफेदी की भी आमेज़िश हो जैसे मेंढे की खुद हुज़ूर अकरम ने कुर्बानी फ़रमाई।

अक़ीक़ा का बयान

उसके मुतअल्लिक पहले चन्द अहादीस् ज़िक्र की जाती हैं वह यह हैं।

हदीस् (1) इमाम बुख़ारी ने सलमान इब्ने आमिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि "लड़के के साथ अक़ीक़ा है उस की तरफ़ से खून बहाओ (यानी जानवर जबह करो) और उस से अज़ियत को दूर करो यानी उस का सर मुंढा दो"।

हदीस् (2) अबूदाऊद व तिर्मिज़ी व निसाई ने उम्मे कुर्ज़ रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कहती हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि "लड़के की तरफ़ से दो बकरियाँ और लड़की की तरफ़ से एक उस में हरज नहीं कि नर हों या मादा"।

हदीस् (3) इमाम अहमद व अबूदाऊद व तिर्मिज़ी व निसाई समुरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "लड़का अपने अक़ीक़े में गिरवी है सातवें दिन उसकी तरफ से जानवर जबह किया जाये और उस का नाम रखा जाये और सर मूंढा जाये"गिरवी होने का यह मतलब है कि उस से पूरा नफ़अ् हासिल न होगा जब तक अक़ीक़ा न किया जाये और बाज ने कहा बच्चे की सलामती और उस की नश्वो नुमा और उस में अच्छे औसाफ़ होना अक़ीक़े के साथ वाबस्ता हैं।

हदीस् (4) तिर्मिज़ी ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन रदियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से अक़ीक़ा में बकरी जबह की और यह फ़रमाया कि ऐ फ़ातिमा इस का सर मुंढादो और बाल के वज़न की चाँदी सदका करो हम ने बालों को वज़न किया तो एक दिरहम या कुछ कम थे।

हदीस् (5) अबूदाऊद व इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा की तरफ़ से एक एक मेंढे का अक़ीक़ा किया और निसाई की रिवायत में है कि दो दो मेंढे।

हदीस् (6) अबूदाऊद व बुरैदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कहते हैं कि ज़माना–ए–जाहिलयत में जब हम में किसी के बच्चा पैदा होता तो बकरी ज़बह करता और उसका खून बच्चे के सर पर पोत देता अब जबकि इस्लाम आया तो सातवें दिन हम बकरी ज़बह करते हैं और बच्चे का सर मुंढाते हैं और सर पर ज़अ्फ़रान लगा देते हैं।

हदीस् (7) अबूदाऊद व तिर्मिज़ी अबू राफ़ेअ् रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कहते हैं कि जब हज़रत इमाम हसन इब्ने अली रदियल्लाहु तआला अन्हुमा पैदा हुए तो मैंने देखा कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन के कान में वही अज़ान कही जो नमाज के लिये कही जाती है।

हदीस (8) इमाम मुस्लिम हज़रत आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रावी कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में बच्चे लाये जाते हुज़ूर उनके लिये बरकत की दुआ करते और तहनीक करते यानी कोई चीज़ मसलन खजूर चबाकर उस बच्चे के तालू में लगा देते कि सब से पहले उस के शिकम में हुज़ूर का लुआबे दहन पहुँचे।

हदीस (9) बुखारी व मुस्लिम हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रदियल्लाहु तआला अन्हु मक्का ही में हिजरत से क़ब्ल मेरे पेट में थे बादे हिजरत कुबा में यह पैदा हुए मैं उन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में लाई और हुज़ूर की गोद में उन को रख दिया फिर हुज़ूर ने खजूर मंगाई और चबाकर उनके मुँह में डालदी और उन के लिये दुआ-ए-बरकत की और बादे हिजरत मुसलमान मुहाजिरीन के यहाँ यह सब से पहला बच्चा है।

फ़िक़ही मसाइल

बच्चा पैदा होने के शुक्रिया में जो जानवर ज़बह किया जाता है उस को अक़ीक़ा कहते हैं। हन्फ़िया के नज़्दीक अक़ीक़ा मुबाह व मुस्तहब है। यह जो बाज़ किताबों में मज़कूर है कि अक़ीक़ा सुन्नत नहीं इस से मुराद यह है कि सुन्नते मुअक्कदा नहीं वरना जब ख़ुद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फ़ेअ्ल से इस का सुबूत मौजूद है तो मुतलक़न उस की सुन्नियत से इन्कार सहीह नहीं। बाज़ किताबों में यह आया है कि कुर्बानी से यह मन्सूख़ है इस का यह मतलब है कि इस का वुजूब मन्सूख़ है जिस तरह यह कहा जाता है कि ज़कात ने हुक़ूक़े मालिया को मन्सूख़ कर दिया यानी उन की फ़र्ज़ियत मन्सूख़ होगई। जब बच्चा पैदा हो तो मुस्तहब यह है कि उसके कान में अज़ान व इक़ामत कही जाये अज़ान कहने से इन्शाअल्लाह तआला बलायें दूर हो जायेंगी बेहतर यह है कि दाहिने कान में चार मरतबा अज़ान और बायें में तीन मर्तबा इक़ामत कही जाये। बहुत लोगों में यह रिवाज है कि लड़का पैदा होता है तो अज़ान कही जाती है और लड़की पैदा होती है तो नहीं कहते। यह न चाहिए बल्कि लड़की पैदा हो जब भी अज़ान व इक़ामत कही जाये। सातवें दिन उसका नाम रखा जाये और इस का सर मूंढा जाये और सर मुंढाने के वक़्त अक़ीक़ा किया जाये। और बालों को वज़न कर के उतनी चाँदी या सोना सदक़ा किया जाये।

मसअ्ला.1:— हिन्दुस्तान में उमूमन बच्चा पैदा होने पर छटी की जाती है। बाज़ लोगों में इस मौके पर ना'जाइज़ रस्में बरती जाती हैं मसलन औरतों का गाना बजाना ऐसी बातों से बचना और उन को छोड़ना ज़रूरी व लाज़िम है बल्कि मुसलमानों को वह करना चाहिए जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के क़ौल व फ़ेअ्ल से साबित है। अक़ीक़ा से बहुत ज़ाइद रुसूम में सर्फ़ कर देते हैं और अक़ीक़ा नहीं करते। अक़ीक़ा करें तो सुन्नत भी अदा होजाये और मेहमानों के खिलाने के लिये गोश्त भी होजाये।

मसअ्ला.2:— बच्चे का अच्छा नाम रखा जाये। हिन्दुस्तान में बहुत लोगों के ऐसे नाम हैं जिन के कुछ मअ्ना नहीं या उनके बुरे मअ्ना हैं ऐसे नामों से एहतिराज़ करें (ऐसे नाम न रखें) अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अस्मा-ए-तय्यिबा और सहाबा व ताबेईन व बुज़ुर्गाने दीन के नाम पर नाम रखना बेहतर है उम्मीद है कि उन की बरकत बच्चे के शामिले हाल हो।

मसअ्ला.3:— अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान बहुत अच्छे नाम हैं मगर इस ज़माने में यह अकसर देखा जाता है कि बजाये अब्दुर्रहमान उस शख़्स को बहुत से लोग रहमान कहते हैं और ग़ैरे ख़ुदा को रहमान कहना हराम है। उसी तरह अब्दुल'ख़ालिक़ को ख़ालिक़ और अब्दुल'मअ्बूद को मअ्बूद कहते हैं इस क़िस्म के नामों में ऐसी ना'जाइज़ तर्मीम हरगिज़ न की जाये। उसी तरह बहुत कसरत से नामों में तस्ग़ीर का रिवाज है यानी नाम को इस तरह बिगाड़ते हैं जिस से हिक़ारत निकलती है और ऐसे नामों में तसग़ीर हरगिज़ न की जाये लिहाज़ा जहाँ यह गुमान हो कि नामों में तसग़ीर की जायेगी यह नाम न रखे जायें दूसरे नाम रखे जायें।(आलमगीरी वग़ैरा)

मसअ्ला.4:— मुहम्मद बहुत प्यारा नाम है इस नाम की बड़ी तअ्रीफ़ हदीसों में आई है अगर तसग़ीर का अन्देशा न हो तो यह नाम रखा जाये और एक सूरत यह कि अक़ीक़ा का यह नाम हो और पुकारने के

लिये कोई दूसरा नाम तजवीज़ कर लिया जाये और हिन्दुस्तान में ऐसा बहुत होता है कि एक शख़्स के कई नाम होते हैं इस सूरत में नाम की बरकत भी होगी और तसग़ीर से भी बच जायेंगे।

मसअ्ला.5:– मुर्दा बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम रखने की ज़रूरत नहीं बिग़ैर नाम उस को दफ़न कर दें और ज़िन्दा पैदा हो तो उसका नाम रखा जाये अगर्चे पैदा होकर मरजाये।

मसअ्ला.6:– अक़ीक़ा के लिये सातवाँ दिन बेहतर है और सातवें दिन न कर सकें तो जब चाहें कर सकते हैं सुन्नत अदा हो जायेगी। बाज़ ने यह कहा कि सातवें या चौदहवें या इक्कीसवें दिन यानी सात दिन का लिहाज़ रखा जाये यह बेहतर है और याद न रहे तो यह करे कि जिस दिन बच्चा पैदा हुआ हो उस दिन को याद रखें उस से एक दिन पहले वाला दिन जब आये वह सातवाँ होगा मस्लन जुमा को पैदा हुआ तो जुमेअ्रात सातवें दिन है और सनीचर को पैदा हुआ तो सातवें दिन जुमा होगा पहली सूरत में जिस जुमेअ्रात को और दूसरी सूरत में जिस जुमा को अक़ीक़ा करेगा उस में सातवें का हिसाब ज़रूर आयेगा।

मसअ्ला.7:– लड़के के अक़ीक़ा में दो बकरे और लड़की में एक बकरी ज़बह की जाये यानी लड़के में नर जानवर और लड़की में मादा मुनासिब है और लड़के के अक़ीक़ा में बकरियाँ और लड़की में बकरा किया जब भी हरज नहीं और अक़ीक़ा में गाय ज़बह की जाये तो लड़के के लिये दो हिस्से और लड़की के लिये एक हिस्सा काफ़ी है यानी सात हिस्सों में दो हिस्से या एक हिस्सा।

मसअ्ला.8:– गाय की कुर्बानी हुई उसमें अक़ीक़े की शिरकत हो सकती है जिस का ज़िक्र कुर्बानी में गुज़रा।

मसअ्ला.9:– बच्चे का सर मुंढाने के बाद सर पर ज़अ्फ़रान पीस कर लगा देना बेहतर है।

मसअ्ला.10:– अक़ीक़े का जानवर उन्ही शराइत के साथ होना चाहिए जैसा कुर्बानी के लिये होता है। इस का गोश्त फ़ुक़रा और अ़ज़ीज़ व क़रीब दोस्त व अहबाब को कच्चा तक़सीम कर दिया जाये या पकाकर दिया जाये या उन को बतौर ज़ियाफ़त दअ्वत खिलाया जाये यह सब सूरतें जाइज़ हैं।

मसअ्ला.11:– बेहतर यह है कि उस की हड्डी न तोड़ी जाये बल्कि हड्डियों पर से गोश्त उतार लिया जाये यह बच्चे की सलामती की नेक फ़ाल है और हड्डी तोड़कर गोश्त बनाया जाये इस में भी हरज नहीं। गोश्त को जिस तरह चाहे पका सकते हैं मगर मीठा पकाया जाये तो बच्चे के अख़लाक़ अच्छे होने की फ़ाल है।

मसअ्ला.12:– बाज़ का यह क़ौल है कि सिरी, पाय, हज्जाम को और एक रान दाई को दें बाक़ी गोश्त के तीन हिस्से करें एक हिस्सा फ़ुक़रा का एक अहबाब का और एक हिस्सा घर वाले खायें।

मसअ्ला.13:– अवाम में यह बहुत मशहूर है कि अक़ीक़े का गोश्त बच्चे के माँ बाप और दादा,दादी नाना, नानी न खायें यह महज़ ग़लत है उसका कोई सुबूत नहीं।

मसअ्ला.14:– लड़के के अक़ीक़े में दो बकरियों की जगह एक ही बकरी किसी ने की तो यह भी जाइज़ हैं। एक हदीस से ब'ज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि अक़ीक़े में एक मेंढा ज़बह हुआ।

मसअ्ला.15:– उस की खाल का वही हुक्म है जो कुर्बानी की खाल का है कि अपने सर्फ़ में लाये या मसाकीन को दे या किसी और नेक काम मस्जिद या मदरसा में सर्फ़ करे।

मसअ्ला.16:– अक़ीक़ा में जानवर ज़बह करते वक़्त एक दुआ पढ़ी जाती है उसे पढ़ सकते हैं और याद न हो तो बिग़ैर दुआ पढ़े भी ज़बह करने से अक़ीक़ा हो जायेगा।

و الله تعالی اعلم قد تم هذا الجزء بحمدالله سبحنه و تعالیٰ و صلی الله علی افضل خلقه محمد و اله و صحبه و ابنه و حزبه اجمعین و الحمد لله رب العالمین ـ

و انا الفقیر ابو العلا محمد امجد علی الا عظمی عفی عنه

हिन्दी तर्जमा
मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी
मो0:–09219132423

बहारे शरीअत

11 से 20

मुसन्निफ

सदरुश्शरीआ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा

मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर

क़ादरी दारुल इशाअ़त
[illegible] मीनार मस्जिद
[illegible] नगर, पुराना शहर बरेली

बहारे शरीअ़त

सोलहवां हिस्सा

मुसन्निफ़
सदरूश्शरीआ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा
मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर
क़ादरी दारूल इशाअ़त
मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली–53
Mob:–9219132423

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمدهٗ و نصلی علی رسوله الكريم

हज़्र व इबाहत का बयान

(यानी मम्नूअ् और मुबाह चीजों का बयान)

इस किताब में उन चीज़ों का बयान है जो शरअ़न मम्नूअ् या मुबाह हैं। इस्तिलाहे शरअ् में मुबाह उस को कहते हैं जिस के करने और छोड़ने दोनों की इजाज़त हो न उस में सवाब है न उस में अज़ाब है। मकरूह की दोनों किस्मों की तअ़रीफ़ें हिस्सा दोम में ज़िक्र कर दी गयीं वहाँ से मअ़लूम करें इस किताब के मसाइल चन्द अबवाब पर मुन्क़सिम हैं सब से पहले खाने पीने से जिन मसाइल का तअ़ल्लुक़ है वह बयान किये जाते हैं कि इन्सानी ज़िन्दगी का तअ़ल्लुक़ खाने पीने से है।

क़ुर्आन मजीद में इरशाद होता है।

﴿يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَ لَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ وَ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْۤ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ﴾

"ऐ! ईमान वालों अल्लाह ने जो तुम्हारे लिये हलाल किया है उसे हराम न करो और हद से न गुज़रो बेशक अल्लाह हद से गुज़रने वालों को दोस्त नहीं रखता और अल्लाह ने जो तुम्हें हलाल पाकीज़ा रिज़्क़ दिया है उस में खाओ और अल्लाह से डरो जिस पर तुम ईमान लाये हो"

और फ़रमाता है

﴿كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ﴾

"खाओ उस में से जो अल्लाह ने तुम्हें रोज़ी दी और शैतान के क़दमों पर न चलो बेशक वह तुम्हारा खुला दुशमन है"

और फ़रमाता है

﴿يٰبَنِيْۤ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا وَ لَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْۤ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝ قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ الْاِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ اَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّ اَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ﴾

"ऐ बनी आदम अपनी ज़ीनत लो जब मस्जिद में जाओ और खाओ और पियो और इसराफ़ (ज़्यादती) न करो बेशक वह इसराफ़ करने वालों को दोस्त नहीं रखता। ऐ महबूब तुम फ़रमा दो किसने हराम की अल्लाह की ज़ीनत जो उसने अपने बन्दों के लिए निकाली व सुथरा रिज़्क़। तुम फ़रमा दो कि वह ईमान वालों के लिये है दुनिया की ज़िन्दगी में और क़ियामत के दिन तो खास उन्हीं के लिये है। इसी तरह हम तफ़सील के साथ अपनी आयतों को बयान करते हैं इल्म वालों के लिये तुम फ़रमा दो कि मेरे रब ने तो बेहयाईयाँ हराम फरमाई हैं जो उन्में ज़ाहिर हैं और जो छुपी हैं और गुनाह और नाहक़ ज़्यादती और यह कि अल्लाह का शरीक करो जिस की उसने कोई दलील नहीं उतारी और यह कि अल्लाह पर वह बात कहो जिस का तुम्हें इल्म नही"।

और और फ़रमाता है।

﴿لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّ لَا عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗۤ اَوْ صَدِيْقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا﴾

"न अन्धे पर पर तंगी है और न लंगड़े पर मुज़ाइक़ा और न बीमार पर हरज और न तुम में किसी पर कि खाओ अपनी औलाद के घर या अपने बाप के घर या अपनी माँ के घर या अपने भाईयों के यहाँ या अपनी बहनों के यहाँ या अपने चचाओं के यहाँ अपनी फुपियों के घर या अपनी ख़ालाओं के घर या जहाँ की कुन्जियाँ तुम्हारे क़ब्ज़े में हैं या अपने दोस्त के यहाँ तुम पर उसमें कोई गुनाह नहीं कि मुजतमेअ् होकर खाओ या अलग अलग"।

पहले खाने के मुतअल्लिक़ चन्द हदीसें बयान की जाती हैं।

हदीस (1) सहीह मुस्लिम शरीफ़ में हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिस खाने पर बिस्मिल्लाह न पढ़ी जाये शैतान के लिये वह खाना हलाल हो जाता है" यअ़नी बिस्मिल्लाह न पढ़ने की सूरत में शैतान उस खाने में शरीक हो जाता है।

हदीस् (2) सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अक्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब कोई शख़्स मकान में आया और दाख़िल होते वक़्त और खाने के वक़्त उस ने बिस्मिल्लाह पढ़ली तो शैतान अपनी ज़ुर्रियत से कहता है कि उस घर में न तुम्हें रहना मिलेगा न खाना और अगर दाख़िल होते वक़्त बिस्मिल्लाह न पढ़ी तो कहता है अब तुम्हें रहने की जगह मिलगई और खाने के वक़्त भी बिस्मिल्लाह न पढ़ी तो कहता है कि रहने की जगह भी मिली और खाना भी मिला"।

हदीस् (3) सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम में अम्र इब्ने अबी सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी कहते हैं कि मैं बच्चा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की परवरिश में था (यअ्नी यह हुज़ूर के रबीब और उम्मुलमोमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा के फ़रज़न्द हैं) खाते वक़्त बर्तन में हर तरफ़ हाथ डाल देता हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया "बिस्मिल्लाह पढ़ो और दाहिने हाथ से खाओ और बर्तन की उस जानिब से खाओ जो तुम्हारे क़रीब है"।

हदीस् (4) अबूदाऊद व तिर्मिज़ी व हाकिम हज़रत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रावी कि हुज़ूर ने फ़रमाया "जब कोई शख़्स खाना खाये तो अल्लाह का नाम ज़िक्र करके यअ्नी बिस्मिल्लाह पढ़े और अगर शुरूअ् में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाये तो यूँ कहे बिस्मिल्लाहि अव्वलुहू व आख़िरुहू" और इमाम अहमद व इब्ने माजा व इब्ने हब्बान व बहैक़ी की रिवायत में यूँ है बिस्मिल्लाहि फ़ी अव्वलिही व आख़िरिही।

हदीस् (5) इमाम अहमद व अबूदाऊद व इब्ने माजा व हाकिम व वहशी इब्ने हर्ब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि इरशाद फ़रमाया "मुजतमेअ् होकर (इकट्ठा होकर) खाना खाओ और बिस्मिल्लाह पढ़ो तुम्हारे लिये इस में बरकत होगी" इब्ने माजा की रिवायत में यह भी है कि लोगों ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हम खाते हैं और पेट नहीं भरता। इरशाद फ़रमाया कि "शायद तुम अलग अलग खाते होगे" अर्ज़ की हाँ। फ़रमाया "इकट्ठे होकर खाओ और बिस्मिल्लाह पढ़ो बरकत होगी"।

हदीस् (6) शरह सुन्ना में अबू अय्यूब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर थे खाना पेश किया गया इब्तिदा में इतनी बरकत हमने किसी खाने में नहीं देखी मगर आख़िर में बड़ी बे बरकती देखी हमने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ऐसा क्यों हुआ इरशाद फ़रमाया हम सबने खाने के वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ी थी फिर एक शख़्स बिगैर बिस्मिल्लाह पढ़े खाने को बैठ गया उस के साथ शैतान ने खाना खालिया।

हदीस् (7) अबूदाऊद ने उमय्या बिन मुख़्शी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं एक शख़्स बिगैर बिस्मिल्लाह पढ़े खाना खा रहा था जब खा चुका सिर्फ़ एक लुक़मा बाक़ी रह गया यह लुक़मा उठाया और यह कहा बिस्मिल्लाहि अव्वलुहू व आख़िरुहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम किया और यह फ़रमाया कि "शैतान इस के साथ खा रहा था जब उसने अल्लाह का नाम ज़िक्र किया जो कुछ उस के पेट में था उगल दिया"। उस के यह मअ्ना भी हो सकते हैं कि बिस्मिल्लाह न कहने से खाने की बरकत जो चली गयी थी वापस आगई।

हदीस् (8) सहीह मुस्लिम में हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कहते हैं जब हम लोग हुज़ूर अक्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ खाने में हाज़िर होते तो जब तक हुज़ूर शुरूअ् न करते खाने में हम हाथ नहीं डालते एक मरतबा का वाक़िआ है कि हम हुज़ूर के पास थे एक लड़की दौड़ती हुई आई जैसे उसे कोई ढकेल रहा है उसने खाने में हाथ डालना चाहा हुज़ूर ने उस का हाथ पकड़ लिया फिर एक एअ्राबी दौड़ता हुआ आया जैसे उसे कोई ढकेल रहा है हुज़ूर ने उस का हाथ भी पकड़ लिया और यह फ़रमाया कि जब खाने पर अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता खाना शैतान के लिये हलाल हो जाता है शैतान उस लड़की के साथ आया कि उस के साथ खाये मैंने उस का हाथ पकड़ लिया फिर इस एअ्राबी के साथ आया कि उस के साथ खाये मैंने

उस का हाथ पकड़ लिया। क़सम है उस की जिस के दस्ते कुदरत में मेरी जान है उस का हाथ उन के हाथ के साथ मेरे हाथ में है उसके बाद हुज़ूर ने अल्लाह का नाम ज़िक्र किया यअ्नी बिस्मिल्लाह कही और खाना खाया उसी की मिस्ल इमाम अहमद व अबूदाऊद व नसाई व हाकिम ने भी रिवायत की है।

हदीस् (9) इब्ने असाकर ने उक़्बा इब्ने आमिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया कि जिस खाने पर अल्लाह का नाम ज़िक्र न किया हो वह बीमारी है और उस में बरकत नहीं है और उस का कफ़्फ़ारा यह है कि अगर अभी दस्तर'ख़्वान न उठाया गया हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ कर कुछ ले और दस्तर'ख़्वान उठाया गया हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ कर उंगलियाँ चाट ले।

हदीस् (10) दैलमी ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब खाये या पिये तो यह कह ले

بسم الله و بالله الّذی لَا یَضُرُّ مَعَ اِسْمِهٖ شَیٌٔ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ

•बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहिल्लजी ला यदुर्रु मअ् इस्मिही शैउन फिलअर्दि वला फिस्समाइ या हय्यु या कय्यूम फिर उस से कोई बीमारी न होगी अगर्चे उस मे जहर हो।

हदीस् (11) सहीह मुस्लिम में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब खाना खाये तो दाहिने हाथ से खाये और पानी पिये तो दाहिने हाथ से पिये"।

हदीस् (12) सहीह मुस्लिम में उन्हीं से मरवी कि हुज़ूर ने फ़रमाया "कोई शख़्स न बायें हाथ से खाना खाये न पानी पिये कि बायें हाथ से खाना, पीना शैतान का तरीक़ा है"।

हदीस् (13) इब्ने माजा ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "दाहिने हाथ से खाये और दाहिने हाथ से पिये और दाहिने हाथ से ले और दाहिने हाथ से दे क्योंकि शैतान बायें से खाता है, बायें से पीता है, और बायें से लेता है, और बायें से देता है"।

हदीस् (14) इब्नुन्नज्जार ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया "तीन उंगलियों से खाना अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का तरीक़ा है" और हकीम ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया "तीन उंगलियों से खाओ कि यह सुन्नत है पाँचों उंगलियों से न खाओ कि यह एअ्राब (गंवारों) का तरीक़ा है"।

हदीस् (15) सहीह मुस्लिम में कअ्ब इब्ने मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तीन उंगलियों से खाना तनावुल फ़रमाते और पोंछने से पहले हाथ चाट लेते।

हदीस् (16) सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उंगलियों और बर्तन के चाटने का हुक्म दिया और यह फ़रमाया कि तुम्हें मअ्लूम नहीं कि खाने के किस हिस्से में बरकत है।

हदीस् (17) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "खाने के बाद हाथ को न पोंछे जब तक चाट न ले या दूसरे को चटा न दे" यअ्नी ऐसे शख़्स को चटा दे जो कराहत व नफ़रत न करता हो मसलन तलामिज़ा व मुरीदीन कि यह उस्ताज़ व शैख़ के झूटे को तबर्रुक जानते हैं और बड़ी ख़ुशी से इस्तेअ्माल करते हैं।

हदीस् (18) इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने नुबैशा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो खाने के बाद बर्तन को चाट लेगा वह बर्तन उस के लिये इस्तिग़फ़ार करेगा" रज़ीन की रिवायत में यह भी है कि वह बर्तन यह कहता है कि अल्लाह तआला तुझ को जहन्नम से आज़ाद करे जिस तरह तूने मुझे शैतान से निजात दी।

हदीस् (19) तिबरानी ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि हुज़ूर ने खाने और पानी में फूंकने से मुमानअत फ़रमाई।

हदीस् (20) सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "शैतान तुम्हारे हर काम में हाज़िर होजाता है खाने के वक़्त भी हाज़िर होजाता है लिहाज़ा अगर लुक़मा गिर जाये और उस में कुछ लग जाये साफ़ कर के खाले उसे शैतान के लिये छोड़ न दे और जब खाने से फ़ारिग़ होजाये तो उंगलियाँ चाट ले क्योंकि यह मअ्लूम नहीं कि खाने के किस हिस्से में बरकत है"।

हदीस् (21) इब्ने माजा ने हसन बसरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि मअ्क़ल बिन यसार रदियल्लाहु तआला अन्हु खाना खा रहे थे उनके हाथ से लुक़मा गिर गया उन्होंने उठा लिया और साफ़ कर के खा लिया यह देख कर गंवारों ने आँखों से इशारा किया (कि॰ यह कितनी हकीर व ज़लील बात है कि गिरे हुए लुक़मा को उन्होंने खालिया) किसी ने उनसे कहा खुदा अमीर का भला करे (मअ्क़ल इब्ने यसार वहाँ अमीर व सरदार की हैसियत से थे) यह गंवार कन्खियों से इशारा करते हैं कि आप ने गिरा हुआ लुक़मा खालिया और आपके सामने यह खाना मौजूद है उन्होंने फ़रमाया उन अज्मियों की वजह से मैं उस चीज़ को नहीं छोड़ सकता हूँ जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है हम को हुक्म था कि जब लुक़मा गिर जाये उसे साफ़ कर के खा जाये शैतान के लिये न छोड़ दे।

हदीस् (22) इब्ने माजा ने उम्मुल मोमिनीन आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मकान में तशरीफ़ लाये रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ देखा उसको लेकर पोंछा फिर खा लिया और फ़रमाया "आयशा अच्छी चीज़ का एह्तिराम करो कि यह चीज़ (यअ्नी रोटी) जब किसी क़ौम से भागी है तो लौटकर नहीं आई यअ्नी अगर ना'शुक्री की वजह से किसी क़ौम से रिज़्क़ चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता"।

हदीस (23) तिबरानी ने अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे हराम रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया कि "रोटी का एह्तिराम करो कि वह आसमान व ज़मीन की बरकात से है जो शख़्स दस्तर'ख़्वान से गिरी हुई रोटी को खालेगा उसकी मग़फ़िरत हो जायेगी"।

हदीस् (24) दारमी ने असमा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि जब उन के पास स्रीद लाया जाता तो हुक्म करतीं कि छुपा दिया जाये कि उस की भाप का जोश ख़त्म हो जाये और फ़रमातीं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है कि "उस से बरकत ज़्यादा होती है"।

हदीस् (25) हाकिम जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से और अबू दाऊद व असमा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि इरशाद फ़रमाया कि खाने को ठंडा कर लिया करो कि गर्म खाने में बरकत नहीं है।

हदीस् (26) सहीह बुख़ारी शरीफ़ में अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि जब दस्तर'ख़्वान उठाया जाता उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यह पढ़ते।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَّلَا مُوَدَّعٍ وَّلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا

तर्जमाः— "अल्लाह तआला के लिये बे'शुमार तारीफ़ें, निहायत पाकीज़ा और बा'बरकत न किफ़ायत की गई न छोड़ी गई और न उस से ला'परवाही बरती गई ऐ हमारे रब"! (कबूल फ़रमा)

हदीस् (27) सहीह मुस्लिम में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अल्लाह तआला उस बन्दे से राज़ी होता है कि जब लुक़मा खाता है तो उसपर अल्लाह की हम्द करता है और पानी पीता है तो उस पर उस की हम्द करता है।

हदीस् (28) तिर्मिज़ी व अबू दाऊद व इब्ने माजा अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खाने से फ़ारिग़ होकर यह पढ़ते।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ جَعَلَنَامُسْلِمِیْنَ.

हदीस (29) तिर्मिज़ी अबूहुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "खाने वाला शुक्र गुज़ार वैसा ही है जैसा रोज़ादार स़ब्र करने वाला"।

हदीस (30) अबूदाऊद ने अबू अय्यूब रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जब खाते या पीते यह पढ़ते

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَ وَ سَقٰی وَ سَوَّ غَهٗ وَ جَعَلَ لَهٗ مَخْرَجًا

हदीस (31) ज़िया ने अनस रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि इरशाद फ़रमाया आदमी के सामने खाना रखा जाता है और उठाने से पहले उसकी मग़्फ़िरत हो जाती है उस की सूरत यह है कि जब रखा जाये बिस्मिल्लाह कहे और जब उठाया जाने लगे अल्ह़मदु लिल्लाह कहे।

हदीस (32) निसाई वग़ैरा ने अबू हुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि खाने के बाद, यह दुआ पढ़।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ یُطْعِمُ وَ لَا یُطْعَمُ وَ مَنَّ عَلَیْنَافَهَدَانَا وَ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَ كُلَّ بَلَاءٍ حَسَنٍ اَبْلَا نَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ غَیْرَ مُوَدَّعٍ رَبِّیْ وَلَامُكَافِیْ وَلَا مَكْفُوْرٍ وَّ لَا مُسْتَغْنٰی عَنْهُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَنَا مِنَ الطَّعَامِ وَسَقَانَا مِنَ الشَّرَابِ وَ كَسَانَا مِنَ الْعُرْیِ وَ هَدَانَا مِنَ الضَّلَالِ وَ بَصَّرَنَا مِنَ الْعَمٰی وَ فَضَّلَنَا عَلٰی كَثِیْرٍ مِّنْ خَلْقِهٖ تَفْضِیْلًا وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ.

हदीस (33) इमाम अह़मद व अबूदाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने इब्ने अ़ब्बास रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब कोई शख़्स़ खाना खाये तो यह कहे اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِیْهِ وابدلنا خیرا منه और जब दूध पिये तो यह कहे اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِیْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ क्योंकि दूध के सिवा कोई चीज़ ऐसी नहीं जो खाने और पानी दोनों की क़ाइम मक़ाम हो"।

हदीस (34) इब्ने माजा ने आ़यशा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने खाने पर से उठने की मुमानअ़त की जब तक खाना उठा न लिया जाये।

हदीस (35) इब्ने माजा ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जब दस्तर'ख़्वान चुना जाये तो कोई शख़्स़ दस्रत'ख़्वान से न उठे जब तक दस्तर'ख़्वान न उठा लिया जाये और खाने से हाथ न खींचे अगर्चे खा चुका हो जब तक सब लोग फ़ारिग़ न होजायें और अगर हाथ रोकना ही चाहता है तो मअ़ज़िरत पेश करे क्योंकि अगर बिग़ैर मअ़ज़िरत किये हाथ रोक लेगा तो उस के साथ दूसरा शख़्स़ जो खाना खा रहा है शर्मिन्दा होगा वह भी हाथ खींच लेगा और शायद अभी उस को खाने की ह़ाजत बाक़ी हो"। इसी ह़दीस की बिना पर उ़लमा यह फ़रमाते हैं कि अगर कोई शख़्स़ कम ख़ुराक हो तो आहिस्ता, आहिस्ता थोड़ा, थोड़ा खाये और उसके बावजूद अगर जमाअ़त का भी साथ न देसके तो मअ़ज़िरत पेश करे ताकि दूसरों को शर्मिन्दगी न हो।

हदीस (36) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने सलमान फ़ारसी रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने तौरात में पढ़ा था कि खाने के बाद वुज़ू करना यअ़नी हाथ धोना और कुल्ली करना बरकत है उस को मैंने नबी करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से ज़िक्र किया हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया खाने की बरकत उस के पहले वज़ू करना और उस के बाद वज़ू करना है। (इस हदीस में वज़ू से मुराद हाथ धोना है)

हदीस (37) त़िबरानी इब्ने अ़ब्बास रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी कि इरशाद फ़रमाया "खाने से पहले और बाद में वज़ू करना (हाथ मुंह धोना) मोह़ताजी को दूर करता है और यह मुरसलीन की सुन्नतों में से है"।

हदीस (38) इब्ने माजा ने अनस रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि फ़रमाया "जो यह

पसन्द करे कि अल्लाह तआला उस के घर में ख़ैर ज़्यादा करे तो जब खाना हाज़िर किया जाये वुज़ू करे और जब उठाया जाये उस वक़्त वुज़ू करे'' यअ्नी हाथ मुँह धोले।
हदीस् (39) इब्ने माजा इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते है कि हुज़ूर ने फ़रमाया कि ''इकट्ठे होकर खाओ अलग अलग न खाओ कि बरकत जमाअत के साथ है''।
हदीस् (40) तिर्मिज़ी ने इकराश बिन ज़ुवैब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं हमारे पास एक बर्तन में बहुत सी स्रीद और बोटियाँ लाई गईं। मेरा हाथ बर्तन में हर तरफ़ पड़ने लगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सामने से तनावुल फ़रमाया फिर हुज़ूर ने अपने बायें हाथ से मेरा दाहिना हाथ पकड़ लिया और फ़रमाया कि ''इकराश एक जगह से खाओ कि एक ही क़िस्म का खाना है''। इसके बाद तबाक़ में तरह तरह की खजूरें लाई गईं मैंने अपने सामने से खानी शुरूअ् कीं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हाथ मुख़्तलिफ़ जगह तबाक़ में पड़ता। फिर फ़रमाया कि ''इकराश जहाँ से चाहो खाओ कि यह एक क़िस्म की चीज़ नहीं'' फिर पानी लाया गया हुज़ूर ने हाथ धोये और हाथों की तरी से मुँह और कलाईयों और सर पर मसह कर लिया और फ़रमाया कि ''इकराश जिस चीज़ को आग ने छुआ यअ्नी जो आग से पकाई गई हो उस के खाने के बाद यह वज़ू है''।
हदीस् (41) तिर्मिज़ी व अबू दाऊद व इब्ने माजा ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''जब किसी के हाथ में चिकनाई की बू हो और बिग़ैर हाथ धोये सो जाये और उस को कुछ तकलीफ़ पहुँच जाये तो वह खुद अपने ही को मलामत करे''। उसी की मिस्ल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु तआला अन्हा से भी मरवी।
हदीस् (42) हाकिम ने अबू अब्स इब्ने जब्र रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि इरशाद फ़रमाया ''खाने के वक़्त जूते उतारलो कि यह सुन्नते जमीला (अच्छा तरीक़ा) है''। अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत में है कि ''खाना रखा जाये तो जूते उतार लो कि उस से तुम्हारे पावों के लिए राहत है''।
हदीस् (43) अबू दाऊद आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रावी कि हज़ूर ने इरशाद फ़रमाया कि (खाते वक़्त) ''गोश्त को छुरी से न काटो कि यह अज्मियों का तरीक़ा है। उस को दांत से नोच कर खाओ कि यह खुशगवार और ज़ोद हज़्म (जल्द हज़्म होने वाला) है'' यह उस वक़्त है कि गोश्त अच्छी तरह पक गया हो। हाथ या दाँत से नोचकर खाया या जा सकता हो। आजकल योरोप की तक़लीद में बहुत से मुसलमान भी छुरी कांटे से खाते हैं यह मज़मूम (बुरा) तरीक़ा है और अगर ब'वजहे ज़रूरत छुरी से गोश्त का टुकड़ा खाया जाये कि गोश्त इतना गला हुआ नहीं है कि हाथ से तोड़ा जा सके या दांतों से नोचा जा सके या मस्लन मुसल्लम रान भुनी हुई है कि दांतों से नोचने में दिक़्क़त होगी तो छुरी से काटकर खाने में हरज नहीं उसी क़िस्म के बाज़ मवाक़ेअ् पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का छुरी से गोश्त का टुकड़ा तनावुल फ़रमाना आया है। उस से आजकल के छुरी कांटे से खाने की दलील लाना सहीह नहीं।
हदीस् (44) सहीह बुख़ारी में अबू हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''मैं तकिया लगाकर खाना नहीं खाता''।
हदीस् (45) सहीह बुख़ारी में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख़्वान पर खाना नहीं तनावुल फ़रमाया न छोटी छोटी प्यालियों में खाया और न हुज़ूर के लिये पतली चपातियाँ पकाई गईं। दूसरी रिवायत में यह है कि हुज़ूर ने पतली चपाती देखी भी नहीं। क़तादा से पूछा गया कि किस चीज़ पर वह लोग खाना खाया करते थे कहा कि दस्तर'ख़्वान पर। ख़्वान तिपाई की तरह ऊँची चीज़ होती है जिस पर उमरा के यहाँ खाना चुना जाता है कि खाते वक़्त झुकना न पड़े उस पर खाना मुतकब्बिरीन का तरीक़ा था जिस तरह

बाज़ लोग इस ज़माने में मेज़ पर खाते हैं छोटी प्यालियों में खाना भी उमरा का तरीक़ा है कि उन के यहाँ मुख़्तलिफ़ क़िस्म के खाने होते हैं छोटे छोटे बर्तनों में रखे जाते हैं।

हदीस (46) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खाने को कभी ऐब नहीं लगाया (यअ्नी बुरा नहीं कहा) अगर ख़्वाहिश हुई खालिया वरना छोड़ दिया।

हदीस (47) सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक शख़्स का खाना दो के लिये किफ़ायत करता है और दो का खाना चार के लिये किफ़ायत करता है और चार का खाना आठ को किफ़ायत करता।

हदीस (48) सहीह बुख़ारी में मिक़दाम बिन मअ्दी'करब रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अपने अपने खाने को को नाप लिया करो तुम्हारे लिये इस में बरकत होगी"।

हदीस (49) इब्ने माजा व तिर्मिज़ी व दारमी ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में एक बर्तन में सरीद पेश किया गया इरशाद फ़रमाया कि किनारों से खाओ बीच में से न खाओ कि बीच में बरकत उतरती है सरीद एक क़िस्म का खाना है रोटी तोड़कर शोरबे में मल देते हैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को यह खाना पसन्द था।

हदीस (50) तिबरानी ने अब्दुल्लाह इब्ने मौक़अ् से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "कोई ज़र्फ़ (बर्तन) जो भरा जाये पेट से ज़्यादा बुरा नहीं अगर तुम्हें पेट में कुछ डालना ही है तो एक तिहाई में खाना डालो और एक तिहाई में पानी और एक तिहाई हवा और सांस के लिये रखो।

हदीस (51) तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने मिक़दाम इब्ने मअ्दी'करब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना कि "आदमी ने पेट से ज़्यादा बुरा कोई बर्तन नहीं भरा इब्ने आदम को चन्द लुक़मे काफ़ी हैं जो उस की पीठ को सीधा रखें अगर ज़्यादा खाना ज़रूरी हो तो तिहाई पेट खाने के लिये और तिहाई पानी के और तिहाई सांस के लिये"।

हदीस (52) तिर्मिज़ी ने इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक शख़्स की डकार की आवाज़ सुनी फ़रमाया "अपनी डकार कम कर इस लिये कि क़ियामत के दिन सब से ज़्यादा भूका वह होगा जो दुनिया में ज़्यादा पेट भरता है"।

हदीस (53) सहीह मुस्लिम में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खजूर खाते देखा और हुज़ूर सुरीन पर इस तरह बैठे थे कि दोनों घुटने खड़े थे।

हदीस (54) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया दो खजूरें मिलाकर खाने से मनअ् फ़रमाया जब तक साथ वाले से इजाज़त न ले ले।

हदीस (55) सहीह मुस्लिम में आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिनके यहाँ खजूरें हैं उस घर वाले भूके नहीं" दूसरी रिवायत में यह है कि "जिस घर में खजूरें न हों उस घर वाले भूके हैं" यह उस ज़माने और उस मुल्क के लिहाज़ से है कि वहाँ खजूरें बकसरत होती हैं और जब घर में खजूरें हैं तो बाल बच्चों और घर वालों के लिए इत्मीनान की सूरत है कि भूक लगेगी तो उन्हें खा लेंगे भूके नहीं रहेंगे।

हदीस (56) सहीह मुस्लिम में अबू अय्यूब अनसारी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के पास जब खाना ह़ाज़िर किया जाता तो तनावुल फ़रमाने के बाद उस का बक़िया (अख़ालश) मेरे पास भेज देते एक दिन खाने का बर्तन मेरे पास भेजदिया उस में से कुछ नहीं तनावुल फ़रमाया था क्योंकि उस में लहसुन पड़ा हुआ था मैंने दरयाफ़्त किया क्या यह ह़राम है फ़रमाया नहीं मगर मैं बू की वजह से उसे ना'पसन्द करता हूँ मैं ने अ़र्ज़ की जिस को हुज़ूर ना'पसन्द फ़रमाते हैं मैं भी नापसन्द करता हूँ।

ह़दीस (57) सह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में जाबिर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जो शख़्स़ लहसुन या प्याज़ खाये वह हम से अ़लाहि़दा रहे" या फ़रमाया "वह हमारी मस्जिद से अ़लाहि़दा रहे" या अपने घर में बैठ जाये और हुज़ूर की ख़िदमत में एक हांडी पेश की गई जिस में सब्ज़ तरकारियाँ थीं हुज़ूर ने फ़रमाया कि "बाज़ स़ह़ाबा को पेश करदो और उन से फ़रमाया कि तुम खालो इस लिये कि मैं उन से बातें करता हूँ कि तुम उन से बातें नहीं करते" यअ्नी मलाइका से।

ह़दीस (58) तिर्मिज़ी व अबू दाऊद ने ह़ज़रत अ़ली रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने लहसुन खाने से मनअ् फ़रमाया मगर यह कि पका हुआ हो।

ह़दीस (59) तिर्मिज़ी ने उम्मे हानी रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कहती हैं जब मेरे यहाँ हुज़ूर तशरीफ़ लाये फ़रमाया कुछ तुम्हारे यहाँ है मैंने अ़र्ज़ की सूखी रोटी और सिरका के सिवा कुछ नहीं फ़रमाया "लाओ जिस घर में सिरका है उस घर वाले सालन से मोह़ताज नहीं"।

ह़दीस (60) सह़ीह़ मुस्लिम में जाबिर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने घरवालों से सालन को दरयाफ़्त किया लोगों ने कहा हमारे यहाँ सिरका के सिवा कुछ नहीं हुज़ूर ने उसे त़लब फ़रमाया और उस से खाना शुरूअ् किया और बार बार फ़रमाया कि सिरका अच्छा सालन है।

ह़दीस (61) इब्ने माजा ने असमा बिन्ते यज़ीद रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में खाना ह़ाज़िर लाया गया हुज़ूर ने हम पर पेश फ़रमाया हम ने कहा हमें ख़्वाहिश नहीं है फ़रमाया भूक और झूट दोनों चीज़ों को इकट्ठा मत करो यअ्नी भूक के वक़्त कोई खाना खिलाये तो खाले यह न कहे कि भूक नहीं है कि खाना भी न खाना और झूट भी बोलना दुनिया व आख़िरत दोनों का ख़सारा है बाज़ तकल्लुफ़ करने वाले ऐसा किया करते हैं और बहुत से देहाती इस क़िस्म की आदत रखते हैं कि जब तक उन से बार बार न कहा जाये खाने से इन्कार करते हैं और कहते हैं कि हमें ख़्वाहिश नहीं है। झूट बोलने से बचना ज़रूरी है।

ह़दीस (62) सह़ीह़ मुस्लिम में अबूहुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कहते हैं कि एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाये और अबूबक्र व उ़मर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा मिले इरशाद फ़रमाया "क्या चीज़ तुम्हें इस वक़्त घर से बाहर लाई" अ़र्ज़ की भूक। फ़रमाया "क़सम है उस की जिस के हाथ में मेरी जान है जो चीज़ तुम्हें घर से बाहर लाई वही मुझे भी लाई"। इरशाद फ़रमाया उठो वह लोग हुज़ूर के साथ खड़े होगये और एक अन्स़ारी के यहाँ तशरीफ़ लेगये देखा तो वह घर में नहीं हैं अन्स़ारी की बीवी ने जूँही इन ह़ज़रात को देखा मरह़बा व अहलन कहा। हुज़ूर ने दरयाफ़्त फ़रमाया कि "फ़ुलां शख़्स़ कहाँ है" कहा कि मीठा पानी लेने गयें हैं इतने में अन्स़ारी आगये हुज़ूर को और शैख़ैन को देख कर कहा अल्ह़म्दु लिल्लाह आज मुझ से बढ़कर कोई नहीं जिसके यहाँ ऐसे मुअ़ज़्ज़ज़ मेहमान आये हों फिर वह खजूर का एक ख़ोशा लाये जिस में अध'पकी और ख़ुश्क खजूरें भी थीं और रत़ब भी थे और उन ह़ज़रात से कहा कि खाईये और ख़ुद छुरी निकाली (यअ्नी बकरी ज़ब्ह़ करने का इरादा किया) हुज़ूर ने फ़रमाया दूध वाली को न ज़ब्ह़ करना अन्स़ारी ने बकरी ज़ब्ह़ की उन ह़ज़रात ने बकरी का गोश्त खाया और खजूरें खाईं, पानी पिया। जब खा'पीकर फ़ारिग़ हुए अबूबक्र व उ़मर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा

से फ़रमाया कि "क़सम उस की जिस के हाथ में मेरी जान है क़ियामत के दिन उस नेअ्मत का सवाल होगा तुम्हें भूक घर से लाई और वापस होने से पहले यह नेअ्मत तुम को मिली"।

हदीस् (63) मुस्लिम व अबूदाऊद ने उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया "जो शख़्स चान्दी या सोने के बर्तन में खाता या पीता है वह अपने पेट में जहन्नम की आग उतारता है"।

हदीस् (64) अबूदाऊद वग़ैरा ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब खाने में मख्खी गिर जाये तो उसे ग़ोता देदे (और फेंकदो) क्योंकि उस के एक बाज़ू में बीमारी है और दूसरे में शिफ़ा है और उसी बाज़ू से अपने को बचाती है जिस में बीमारी है यअ्नी वही बाज़ू खाने में पहले डालती है जिस में बीमारी है लिहाज़ा पूरी को ग़ोता देदे।

हदीस् (65) अबूदाऊद व इब्ने माजा व दारमी अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स खाना खाये (और दांतों में कुछ रह जाये) उसे अगर ख़िलाल से निकाले तो थूक दे और ज़बान से निकाले तो निगल जाये जिस ने ऐसा किया अच्छा किया और न किया तो भी हरज नहीं।

मसाइले फ़िक़्हिया

बाज़ सूरत में खाना फ़र्ज़ है कि खाने पर स्वाब है और न खाने में अज़ाब। अगर भूक का इतना ग़लबा हो कि जानता हो कि न खाने से मर जायेगा तो इतना लेना जिस से जान बच जाये फ़र्ज़ है और उस सूरत में अगर नहीं खाया यहाँ तक कि मर गया तो गुनहगार हुआ। इतना खा लेना कि खड़े होकर नमाज़ पढ़ने की ताक़त आ जाये और रोज़ा रख सके यअ्नी न खाने से इतना कमज़ोर हो जायेगा कि खड़ा होकर नमाज़ न पढ़ सकेगा और रोज़ा न रख सकेगा तो उस मिक़दार से खा लेना ज़रूरी है और उस में भी स्वाब है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.1:– इज़्तिरार की हालत यअ्नी जबकि जान जाने का अन्देशा है अगर हलाल चीज़ खाने के लिये नहीं मिलती तो हराम या मुर्दार या दूसरे की चीज़ खाकर अपनी जान बचाये और उन चीज़ों के खालेने पर उस सूरत में मुआख़िज़ा नहीं बल्कि न खाकर मरजाने में मुआख़िज़ा है अगर्चे पराई चीज़ खाने में तावान देना होगा।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– प्यास से हलाक होने का अन्देशा है तो किसी चीज़ को पीकर अपने को हलाकत से बचाना फ़र्ज़ है ,पानी नहीं है और शराब मौजूद है और मअ्लूम है कि इस के पी लेने में जान बच जायेगी तो इतनी पी ले जिस से यह अन्देशा जाता रहे।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.3:–दूसरे के पास खाने पीने की चीज़ है तो क़ीमत से ख़रीदकर खा, पी ले वह क़ीमत से भी नहीं देता और उस की जान पर बनी है तो उस से ज़बर'दस्ती छीन ले और अगर उस के लिये भी यही अन्देशा है तो कुछ ले ले और कुछ उस के लिये छोड़दे।(रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.4:– एक शख़्स इज़्तिरार की हालत में है दूसरा शख़्स उस से यह कहता है कि तुम मेरा हाथ काटकर उस का गोश्त खा लो उसके लिये इस गोश्त के खाने की इजाज़त नहीं यअ्नी इन्सान का गोश्त खाना उस हालत में भी मुबाह नहीं।(रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.5:– खाने पीने पर दवा और इलाज को क़यास न किया जाये यअ्नी हालते इज़्तिरार में मुर्दार और शराब को खाने, पीने का हुक्म है मगर दवा के तौर पर शराब जाइज़ नहीं क्योंकि मुर्दार का गोश्त और शराब यक़ीनी तौर पर भूक और प्यास का दफ़ईआ है और दवा के तौर पर शराब पीने में यह यक़ीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि मर्ज़ का इज़ाला ही हो जायेगा।(रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.6:– भूक से कम खाना चाहिए और पूरी भूक भर कर खाना खा लेना मुबाह है यअ्नी न स्वाब है न गुनाह। क्योंकि उस का भी सहीह मक़सद हो सकता है कि ताक़त ज़्यादा होगी और

भूक से ज़्यादा खा लेना हराम है। ज़्यादा का यह मतलब है कि इतना खा लिया जिस से पेट ख़राब होने का गुमान है मसलन दस्त आयेंगे और तबीअत बद मज़ा होजायेगी।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.7:– अगर भूक से कुछ ज़्यादा इस लिये खा लिया कि कल का रोज़ा अच्छी तरह रख सकेगा रोज़ा में कमज़ोरी नहीं पैदा होगी तो हरज नहीं जब कि इतनी ज़्यादती हो जिस से मेअ्दा ख़राब होने का अन्देशा न हो और मअ्लूम है कि ज़्यादा न खाया तो कमज़ोरी होगी दूसरे कामों में दिक़्क़त होगी। यूँही अगर मेहमान के साथ खा रहा है और मअ्लूम है कि यह हाथ रोक देगा तो मेहमान शरमा जायेगा और सैर होकर न खायेगा तो इस सूरत में भी कुछ ज़्यादा खालेने की इजाज़त है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.8:– सैर होकर खाना इस लिए कि नवाफ़िल कसरत से पढ़ सकेगा और पढ़ने पढ़ाने में कमज़ोरी पैदा न होगी अच्छी तरह उस काम को अन्जाम दे सकेगा यह मन्दूब है और सैरी से ज़्यादा खालिया या मगर इतना ज़्यादा नहीं कि शिकम ख़राब होजाये यह मकरूह है। इबादत गुज़ार शख़्स को यह इख़्तियार है कि ब'क़द्र मुबाह तनावुल करे या ब'क़द्र मन्दूब मगर उसे यह नियत करनी चाहिए कि इस लिए खाता हूँ कि इबादत की क़ुव्वत पैदा हो कि इस नियत से खाना भी एक क़िस्म की ताअत है। खाने से उस का मक़सूद तलज़्ज़ुज़ व तनाउम न हो (यानी लज़्ज़त व ख़्वाहिश को पूरा करना न हो) कि यह बुरी सिफ़त है। क़ुर्आन मजीद में कुफ़्फ़ार की सिफ़त यह बयान की गई कि खाने से उनका मक़सूद तमत्तोअ् व तनाउम (सिर्फ़ लुत्फ़ व लज़्ज़त उठाना) बताई गई।(रद्दुल'मुहतार)

मसअला.9:– रियाज़त व मुजाहिदा में ऐसी तक़लीले गिज़ा (कम खाना खाना) कि इबादते मफ़रूज़ा की अदा में ज़ोअ्फ़ (कमज़ोरी) पैदा हो जाये, मसलन इतना कमज़ोर हो गया कि खड़ा होकर नमाज़ न पढ़ सकेगा यह ना'जाइज़ है और अगर इस हद की कमज़ोरी न पैदा हो तो हरज नहीं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.10:– ज़्यादा खा लिया इस लिये कि क़ै कर डालेगा और यह सूरत उस के लिये मुफ़ीद हो तो हरज़ नहीं क्योंकि बाज़ लोगों के लिये यह तरीक़ा नाफ़ेअ् होता है।(रद्दुल'मुहतार)

मसअला.11:– तरह तरह के मेवे खाने में हरज़ नहीं अगर्चे अफ़ज़ल यह है कि ऐसा न करे(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.12:– जवान आदमी को यह अन्देशा है कि सैर होकर खायेगा तो गलबए शहवत होगा तो खाने में कमी करे कि ग़लबए शहवत न हो मगर इतनी कमी न करे कि इबादत में क़ुसूर (कमी) पैदा हो। (आलमगीरी) इसी तरह बाज़ लोगों को गोश्त खाने से ग़लबए शहवत होता है वह भी गोश्त में कमी करदें।

मसअला.13:– एक क़िस्म का खाना होगा तो ब'क़द्र हाजत न खासकेगा तबीअत घबरा जायेगी लिहाज़ा कई क़िस्म के खाने तैयार कराता है कि सब में से कुछ कुछ खाकर ज़रूरत पूरी करलेगा। इस मक़सद के लिये मुतअद्दिद क़िस्म के खाने में हरज नहीं या इस लिये बहुत से खाने पकवाता है कि लोगों की ज़ियाफ़त करनी है वह सब खाने सर्फ़ हो जायेंगे तो उस में भी हरज नहीं और यह मक़सूद न हो तो इसराफ़ (फ़ुज़ूल ख़र्ची) है।(आलमगीरी)

मसअला.14:– खाने के आदाब व सुनन यह हैं खाने से पहले और बाद में हाथ धोना, खाने से पहले हाथ धोकर पोंछे न जायें और खाने के बाद हाथ धोकर रूमाल या तौलिया से पोंछ लें कि खाने का असर बाक़ी न रहे।

मसअला.15:– सुन्नत यह है कि क़ब्ले तआम और बादे तआम दोनों हाथ गट्टों तक धोये जायें बाज़ लोग सिर्फ़ एक हाथ या फ़क़त उंगलियाँ धो लेते हैं बल्कि सिर्फ़ चुटकी धोने पर किफ़ायत करते हैं उस से सुन्नत अदा नहीं होती।(आलमगीरी)

मसअला.16:– मुस्तहब यह है कि हाथ धोते वक़्त ख़ुद अपने हाथ से पानी डाले दूसरे से उस में मदद ने ले यअ्नी उस का वही हुक्म है जो वज़ू का है।(आलमगीरी) खाने के बाद अच्छी तरह हाथ धोये कि खाने का असर न रहे भूसी या आटे या बेसन से हाथ धोने में हरज नहीं। इस ज़माने में साबुन से हाथ धोने का रिवाज है उसमें भी हरज नहीं खाने के लिये मुँह धोना सुन्नत नहीं यअ्नी अगर किसी ने न धोया तो यह नहीं कहा जायेगा कि उस ने सुन्नत तर्क करदी हाँ जुनुब ने अगर

मुँह न धोया तो मकरूह है और हैज़ वाली का बिग़ैर धोये खाना मकरूह नहीं। खाने से क़ब्ल जवानों के हाथ पहले धुलाये जायें और खाने के बाद बूढ़ों के हाथ धुलाये जायें, इस के बाद जवानों के। यही हुक्म उ़लमा व मशाइख़ का है कि खाने से क़ब्ल उन के हाथ आख़िर में धुलाये जायें और खाने के बाद उन के हाथ पहले धुलाये जायें। खाना बिस्मिल्लाह पढ़ कर शुरूअ़ किया जाये और ख़त्म कर के अल्ह़मदु लिल्लाह पढ़ें अगर बिस्मिल्ला कहना भूल गया है तो जब याद आ जाये यह कहे बिस्मिल्लाहि फ़ी अव्वलिही व आख़िरिही। बिस्मिल्लाह बलन्द आवाज़ से कहे कि साथ वालों को अगर याद न हो तो उससे सुनकर उन्हें याद आजाये और अल्ह़मदु लिल्लाह आहिस्ता कहे मगर जब सब लोग फ़ारिग़ हो चुके हों तो अल्ह़म्दु लिल्लाह भी ज़ोर से कहे कि दूसरे लोग सुनकर शुक्रे खुदा बजा लायें रोटी पर कोई चीज़ न रखी जाये बाज़ लोग सालन का प्याला या चटनी की प्याली या नमक'दानी रख देते हैं ऐसा न करना चाहिए नमक अगर काग़ज़ में है तो उसे रोटी पर रख सकते हैं हाथ या छुरी को रोटी से न पोंछें तकिया लगाकर या नंगे सर खाना अदब के ख़िलाफ़ है बायें हाथ को ज़मीन पर टेक देकर खाना भी मकरूह है रोटी का किनारा तोड़कर डालदेना और बीच की खालेना इस्राफ़ है बल्कि पूरी रोटी खाये हाँ अगर किनारे कच्चे रह गये हैं उस के खाने से ज़रर (नुकसान) होगा तो तोड़ सकता है इसी त़रह़ अगर मअ़लूम है कि यह टूटे हुए दूसरे लोग खालेंगे ज़ाइअ़ न होंगे तो तोड़ने में ह़रज नहीं यही हुक्म उस का भी है कि रोटी में जो हिस्सा फूला हुआ है उसे खालेता है बाक़ी को छोड़ देता है रोटी जब दस्तर'ख़्वान पर आगई तो खाना शुरूअ़ करदे सालन का इन्तिज़ार न करे इसी लिए उमूमन दस्तरख़्वान पर रोटी सब से आख़िर में लाते हैं ताकि रोटी के बाद इन्तिज़ार न करना पढ़े दाहिने हाथ से खाना खाये हाथ से लुक़्मा छूटकर दस्तर'ख़्वान पर गिर गया उसे छोड़ देना इस्राफ़ है बल्कि पहले उस को उठाकर खाये। रकाबी या प्याले के बीच में से इब्तिदाअ़न न खाये बल्कि एक किनारे से खाये और जो किनारा उस के क़रीब है वहाँ से खाये जब खाना एक क़िस्म का हो तो एक जगह से खाये हर त़रफ़ हाथ न मारे हाँ अगर त़बाक़ में मुख़्तलिफ़ क़िस्म की चीचें लाकर रखी गईं तो इधर उधर से खाने की इजाज़त है कि यह एक चीज़ नहीं खाने के वक़्त बायाँ पाँव बिछादे और दाहिना खड़ा रखे या सुरीन पर बैठे और दोनों घुटने खड़े रखे। गरम खाना न खाये और न खाने पर फूँके न खाने को सूँघे। खाने के वक़्त बातें करता जाये बिलकुल चुप रहना मजूसियों का त़रीक़ा है मगर बेहूदा बातें न बके बल्कि अच्छी बातें करे खाने के बाद उंगलियाँ चाट ले उनमें झूटा न लगा रहने दे और बर्तन को उंगलियों से पोंछकर चाट ले ह़दीस में है खाने के बाद जो शख़्स बर्तन चाटता है तो वह बर्तन उसके लिये दुआ़ करता है कहता है कि अल्लाह तुझे जहन्नम की आग से आज़ाद करे जिस त़रह़ तूने मुझे शैत़ान से आज़ाद किया और एक रिवायत में है बर्तन उस के लिये इस्तिग़फ़ार करता है खाने की इब्तिदा नमक से की जाये और ख़त्म भी इसी पर करें इस से सत्तर बीमारियाँ दफ़अ़ हो जाती हैं।(बज़ाज़िया, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.17:– रास्ता और बाज़ार में खाना मकरूह है।

मसअ्ला.18:– दस्तर'ख़्वान पर रोटी के टुकड़े जमअ़ होगये अगर खाना है तो खाये वरना मुर्ग़ी, गाय, बकरी वग़ैरा को खिलादे या कहीं एह़तियात़ की जगह पर रखदे कि चींटियाँ या चिड़ियाँ खालेंगी रास्ते पर न फेंके। (बज़ाज़िया)

मसअ्ला.19:– खाने में ऐब बताना न चाहिए न यह कहना चाहिए कि बुरा है हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने कभी खाने को ऐब न लगाया अगर पसन्द आया तनावुल फ़रमाया वरना न खाया।

मसअ्ला.20:– खाना खाते वक़्त जब कोई आजाता है तो हिन्दुस्तान का उ़र्फ़ यह है कि उसे खाने को पूछते हैं कहते हैं। आओ खाना खाओ अगर न पूछें तो त़अ़्न करते हैं कि उन्होंने पूछा तक नहीं यह बात यअ़नी दूसरे मुसलमान को खाने के लिये बुलाना अच्छी बात है मगर बुलाने वाले को यह

चाहिए कि यह पूछना महज़ नुमाइश के लिये न हो बल्कि दिल से पूछे। यह भी रिवाज है जब पूछा जाता है तो वह कहता है बिस्मिल्लाह यह न कहना न चाहिए कि यहाँ बिस्मिल्लाह कहने के कोई मअ्ना नहीं उस मौक़ेअ् पर बिस्मिल्लाह कहने को उलमा ने बहुत सख़्त ममनूअ् फ़रमाया बल्कि ऐसे मौक़ेअ् पर दुआईया अलफ़ाज़ कहना बेहतर है मस्लन अल्लाह तआला बरकत दे, ज़्यादा दे।

मसअ्ला.21:– बाप को बेटे के माल की हाजत है अगर एहतियाज(ज़रूरत)उस वजह से है कि उस के पास दाम नहीं हैं कि उस चीज़ को ख़रीद सके तो बेटे की चीज़ बिला किसी मुआवज़ा के इस्तेअ्माल करना जाइज़ है और अगर दाम हैं मगर चीज़ नहीं मिलती तो मुआवज़ा देकर ले यह उस वक़्त है कि बेटा नालाइक़ है और अगर लाइक़ है तो बिग़ैर हाजत भी उसकी चीज़ लेसकता है(आलमगीरी)

मसअ्ला.22:– एक शख़्स भूक से इतना कमज़ोर होगया है कि घर से बाहर नहीं जा सकता कि लोगों से अपनी हालत बयान करे तो जिस को उसकी यह हालत मअ्लूम है, उस पर फ़र्ज़ है कि उसे खाने को दे ताकि घर से निकलने के क़ाबिल होजाये अगर ऐसा नहीं किया और वह भूक से मरगया तो जिन लोगों को उसका यह हाल मअ्लूम था सब गुनहगार हुए अगर यह शख़्स जिसको उसका हाल मअ्लूम था उसके पास भी कुछ नहीं है कि उसे खिलाये तो उस पर यह फ़र्ज़ है कि दूसरों से कहे और लोगों से कुछ मांग लाये और ऐसा न हुआ और वह मरगया तो यह सब लोग जिस को उस के हाल की ख़बर थी गुनहगार हुए और अगर यह शख़्स घर से बाहर जा सकता है मगर कमाने पर क़ादिर नहीं तो जाकर लोगों से मांगे और जिस के पास सदक़े की क़िस्म से कोई चीज़ हो उस पर देना वाजिब है। और अगर वह मोहताज शख़्स कमा सकता है तो काम कर के पैसे हासिल करे उस के लिये मांगना हलाल नहीं। मोहताज शख़्स अगर कमाने पर क़ादिर नहीं है मगर यह कर सकता है कि दरवाज़ों पर जाकर सुवाल करे तो उस पर ऐसा करना फ़र्ज़ है ऐसा न किया और भूक से मरगया तो गुनहगार होगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.23:– खाने में पसीना टपक गया या राल टपक पड़ी या आंसू गिर गया वह खाना हराम नहीं है खाया जा सकता है उसी तरह अगर पानी में कोई पाक चीज़ मिलगई और उस से तबीअत को नफ़रत पैदा होगई वह पिया जा सकता है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.24:– रोटी में अगर उपले का टुकड़ा मिला और वह सख़्त है तो इतना हिस्सा तोड़ कर फ़ेंकदे पूरी रोटी को नजिस नहीं कहा जायेगा और अगर उसमें नमी आगई है तो बिलकुल न खाये(आलमगीरी)

मसअ्ला.25:– नाली वग़ैरा किसी नापाक जगह में रोटी का टुकड़ा देखा तो उस पर यह लाज़िम नहीं कि उसे निकाल कर धोये और किसी दूसरी जगह डालदे।(आलमगीरी)

मसअ्ला.26:– गेहूँ के साथ आदमी का दांत भी चक्की में पिस गया उस आटे को न खुद खा सकता है न जानवरों को खिला सकता है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.27:– गोश्त सड़गया तो उसका खाना हराम है।

मसअ्ला.28:– बाग़ में पहुँचा वहाँ फल गिरे हुए हैं तो जब तक मालिके बाग़ की इजाज़त न हो फल नहीं खा सकता और इजाज़त दोनों तरह हो सकती है सराहतन इजाज़त हो मस्लन मालिक ने कह दिया हां कि गिरे हुऐ फलों को खा सकते हो या दलालतन इजाज़त हो यअ्नी वहाँ ऐसा उर्फ़ व आदत है बाग़ वाले गिरे हुऐ फलों से लोगों को मनअ् नहीं करते दरख़्तों मे फल तोड़ कर खाने की इजाज़त नहीं मगर जब कि फलों की कस्रत हो मअ्लूम हो कि तोड़कर खाने में भी मालिक को ना'गवारी नहीं होगी, तोड़कर भी खा सकता है मगर किसी सूरत में यह इजाज़त नहीं कि वहाँ से फल उठा लाये।(आलमगीरी) उन सब सूरतों में उर्फ़ व आदत का लिहाज़ है और अगर उर्फ़ व आदत न हो या मअ्लूम हो कि मालिक को नागवारी होगी तो खाना जाइज़ नहीं।

मसअ्ला.29:– ख़रीफ़ के मौसम में दरख़्तों के पत्ते गिर जाते हैं अगर वह पत्ते काम के हों तो उठा लाना ना'जाइज़ है और मालिक के लिये बेकार हों जैसा कि हमारे मुल्क में बाग़ात में पत्ते गिर

जाते हैं और मालिक उन को काम में नहीं लाता भाड़ जलाने वाले उठा लाते हैं ऐसे पत्तों को उठा लाने में हरज नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला.30:– दोस्त के घर गया जो चीज़ पकी हुई मिली ख़ुद लेकर खाली या उस के बाग़ में गया और फल तोड़कर खा लिये अगर मअ्लूम है कि उसे ना'गवार न होगा तो खाना जाइज़ है मगर यहाँ अच्छी तरह ग़ौर कर लेने की ज़रूरत है बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि यह समझता है कि उसे ना'गवार न होगा हालांकि उसे नागवार है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.31:– रोटी को छुरी से काटना नसारा का तरीक़ा है मुसलमानों को उससे बचना चाहिए हाँ अगर ज़रूरत हो मस्लन डबल रोटी कि छुरी से काटकर उस के टुकड़े कर लिये जाते हैं तो हरज नहीं या दअ्वतों में बाज़ मरतबा हर शख़्स को निस्फ़ निस्फ़ शीरमाल दी जाती है ऐसे मौक़े पर छुरी से काटकर टुकड़े बनाने में हरज नहीं कि यहाँ मक़सूद दूसरा है। उसी तरह अगर मुसल्लम रान भुनी हुई हो और छुरी से काटकर खाई जाये तो हरज नहीं।

मसअ्ला.32:– मुसलमानों के खाने का तरीक़ा यह है कि फ़र्श वग़ैरा पर बैठकर खाना खाते हैं, मेज़ कुर्सी पर खाना नसारा का तरीक़ा है इस से इज्तिनाब(बचना)चाहिए बल्कि हर मुसलमान को हर काम सलफ़े सालेहीन के तरीक़े पर करना चाहिए ग़ैरों के तरीक़े को हरगिज़ इख़्तियार न करना चाहिए।

मसअ्ला.33:– ख़मीरी रोटी पकवाने में नानबाई से ख़मीर ले लेते हैं। फिर उस के आटे में से उसी अन्दाज़ से नानबाई ले लेता है उस में हरज नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– बहुत से लोगों ने चन्दा करके खाने की चीज़ तैयार की और सब मिलकर उसे खायेंगे चन्दा सब ने बराबर दिया है और खाना कोई कम खायेगा कोई ज़्यादा इस में हरज नहीं। इसी तरह मुसाफ़िरों ने अपने तोशे और खाने की चीज़ें एक साथ मिलकर खाईं इस में भी हरज नहीं अगर्चे कोई कम खायेगा कोई ज़्यादा या बाज़ की चीज़ें अच्छी हैं और बाज़ की वैसी नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला.35:– खाना खाने के बाद ख़िलाल करने में जो कुछ दांतों में से रेशा वग़ैरा निकला बेहतर है कि उसे फेंकदे और निगल गया तो उस में भी हरज नहीं और ख़िलाल का तिन्का या जो कुछ ख़िलाल से निकला उस को लोगों के सामने न फेंके बल्कि उसे लिये रहे जब उस के सामने तश्त आये उस में डालदे फूल और मेवे के तिन्के से ख़िलाल न करे।(आलमगीरी) ख़िलाल के लिये नीम की सींक बहुत बेहतर है कि उस की तल्ख़ी से मुँह की सफ़ाई होती है और यह मसूड़ों के लिये भी मुफ़ीद है। झाडू की सींकें भी उस काम में ला सकते हैं जब कि वह कोरी हों मुस्तअ्मल न हों।

पानी पीने का बयान

हदीस (1) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पानी पीने में तीन बार सांस लेते थे और मुस्लिम की रिवायत में यह भी है कि फ़रमाते थे कि "इस तरह पीने में ज़्यादा सैराबी होती है और सेहत के लिये मुफ़ीद और खुशगवार है"।

हदीस (2) तिर्मिज़ी ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "एक सांस में पानी न पियो जैसे ऊँट पीता है बल्कि दो और तीन मरतबा में पियो और जब पियो तो बिस्मिल्लाह कहलो और बर्तन को मुँह से हटाओ अल्लाह की हम्द करो"।

हदीस (3) अबू दाऊद व इब्ने माजा ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बर्तन में सांस लेने और फूंकने से मनअ् फ़रमाया।

हदीस (4) तिर्मिज़ी ने अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पीने की चीज़ में फूंकने से मनअ् फ़रमाया एक शख़्स ने अर्ज़ की कि बर्तन में कभी कूड़ा दिखाई देता है फ़रमाया उसे गिरादो उसने अर्ज़ की कि एक सांस में

सैराब नहीं होता हूँ फ़रमाया बर्तन को मुँह से जुदा करके सांस लो।

हदीस् (5) अबूदाऊद ने अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने प्याले में जो जगह टूटी हुई है वहाँ से पीने की और पीने की चीज़ में फूंकने की मुमानअत फ़रमाई।

हदीस् (6) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मश्क के दहाने से पीने को मनअ् फ़रमाया।

हदीस् (7) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम व सुनन तिर्मिज़ी में अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दहाने को मोड़कर उस से पानी पीने को मनअ् फ़रमाया इब्ने माजा ने इस हदीस को इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से भी रिवायत किया और उस रिवायत में यह भी है कि हुज़ूर के मनअ् फ़रमाने के बाद एक शख़्स रात में उठा और मश्क का दहाना पानी पीने कि लिये मोड़ा उस में से सांप निकला।

हदीस् (8) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मनअ् फ़रमाया।

हदीस् (9) सहीह मुस्लिम व अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "खड़े होकर हरगिज़ कोई शख़्स पानी न पिये और जो भूल कर ऐसा कर गुज़रे वह कै करदे"।

हदीस् (10) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कहते हैं मैं आबे ज़मज़म का एक डोल नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर लाया हुज़ूर ने खड़े खड़े उसे पिया।

हदीस् (11) सहीह बुख़ारी में है हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और लोगों की हाजात पूरी करने के लिये रहबए कूफ़ा (कूफ़े की जामा मस्जिद के सहन) में बैठ गये जब अस्र का वक़्त आया उनके पास पानी लाया गया उन्होंने न पिया और वज़ू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पिया और यह फ़रमाया कि लोग खड़े होकर पानी पीने को मकरूह बताते हैं और जिस तरह कि लोग मुतलक़न खड़े होकर पानी पीने को मकरूह बताते हैं हालांकि वज़ू के पानी का यह हुक्म नहीं बल्कि उस को खड़े होकर पीना मुस्तहब है उसी तरह आबे ज़मज़म को भी खड़े होकर पीना सुन्नत है यह दोनों पानी उस हुक्म से मुस्तस्ना हैं और उस में हिकमत यह है कि खड़े होकर जब पानी पिया जाता है वह फ़ौरन तमाम अअ्ज़ा की तरफ़ सरायत कर जाता है और यह मुज़िर है मगर यह दोनों बरकत वाले हैं और उनसे मक़सूद ही तबर्रुक है लिहाज़ा उनका तमाम अअ्ज़ा में पहुँच जाना फ़ायदामन्द है बाज़ लोगों से सुना गया है कि मुस्लिम का झूटा पानी भी खड़े होकर पीना चाहिए मगर मैंने किसी किताब में उस को नहीं देखा सिर्फ़ दो ही पानियों का किताबों में इस्तिस्ना मज़कूर पाया। वलइल्मु इन्दल्लाह।

हदीस् (12) तिर्मिज़ी ने कबशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कहती हैं मेरे यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाये मश्क लटकी हुई थी उसके दहाने से खड़े होकर पानी पिया (हुज़ूर के इस फ़ेअ्ल को उलमा ने बयाने जवाज़ पर महमूल किया है) मैंने मश्क के दहाना को काटकर रख लिया। उनका काटकर रख लेना बग़र्ज़े तबर्रुक था कि चूंकि उस से हुज़ूर का दहने अक़दस लगा है यह बरकत की चीज़ है और उस से बीमारों को शिफ़ा होगी।

हदीस् (13) सहीह बुख़ारी में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और अबूबक्र सिद्दीक़ रदियल्लाहु तआला अन्हु एक अन्सारी के पास तशरीफ़ ले गये वह अपने बाग़ में पेड़ों को पानी दे रहे थे इशारा फ़रमाया क्या तुम्हारे यहाँ बासी पानी पुरानी मश्क में है (अगर हो तो लाओ) वरना हम मुंह लगाकर पानी पीलें उन्होंने कहा मेरे यहाँ बासी

पानी पुरानी मश्क में है अपनी झोंपड़ी में गये और बर्तन में पानी उंडेल कर उस में बकरी का दूध दोहा हुज़ूर ने पिया फिर दोबारा उन्होंने पानी लेकर दूध दोहा हुज़ूर के साथी ने पिया।

हदीस (14) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के लिये बकरी का दूध दोहा गया और अनस के घर में जो कुआँ था उस का पानी उस में मिलाया गया यअ़नी लस्सी बनाई गई फिर हुज़ूर की ख़िदमत में पेश किया गया। हुज़ूर ने नोश फ़रमाया हुज़ूर के बायें तरफ़ अबूबक्र रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु थे और दाहिनी तरफ़ एक एअ़राबी थे हज़रत उमर ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह अबूबक्र को दीजिये हुज़ूर ने एअ़राबी को दिया क्योंकि यह दाहिनी जानिब थे और इरशाद फ़रमाया दाहिना मुस्तहक़ है फिर उस के बाद जो दाहिने हो, दाहिने को मुक़द्दम रखा करो।

हदीस (15) बुख़ारी व मुस्लिम में सहल इब्ने सअ़द रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में प्याला पेश किया गया हुज़ूर ने नोश फ़रमाया हुज़ूर की दाहिनी जानिब सब से छोटे एक शख़्स थे (अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा) और बड़े बड़े असहाब बायीं जानिब थे हुज़ूर ने फ़रमाया लड़के अगर तुम इजाज़त दो तो बड़ों को देदूँ उन्होंने अ़र्ज़ की हुज़ूर के अव्वलश (तबर्रुक) में दूसरों को अपने पर तर्जीह नहीं दूंगा हुज़ूर ने उनको देदिया।

हदीस (16) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं "हरीर और दीबाज न पहनो और न सोने और चाँदी के बर्तन में पानी पियो और न उन के बर्तनों में खाना खाओ कि यह चीज़ें दुनिया में काफ़िरों के लिये हैं और तुम्हारे लिये आख़िरत में हैं"।

हदीस (17) तिर्मिज़ी ने ज़ोहरी से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को पीने की वह चीज़ ज़्यादा पसन्द थी जो शीरीं और ठंडी हो।

हदीस (18) इब्ने माजा ने अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने पेट के बल झुककर पानी में मुँह डालकर पीने से मनअ़ फ़रमाया और एक हाथ से चुल्लू लेकर पानी पीने से मनअ़ फ़रमाया और यह कि कुत्ते की तरह पानी में मुह न डाले और न एक हाथ से चुल्लू लेकर पिये जैसे वह लोग पीते हैं जिन पर खुदा नाराज़ है और रात में जब किसी बर्तन में पानी पिये तो उसे हिलाले मगर जबकि वह बर्तन ढका हो तो हिलाने की ज़रूरत नहीं और जो शख़्स बर्तन से अपने पर क़ादिर है और तवाज़ोअ़ के तौर पर हाथ से पीता है अल्लाह तआ़ला उस के लिये नेकियाँ लिखता है जितनी उस के हाथ में उंगलियाँ हैं। हाथ हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम का बर्तन था कि उन्होंने अपना प्याला भी फेंक दिया और यह कहा कि यह भी दुनिया की चीज़ है।

हदीस (19) इब्ने माजा ने इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया हाथों को धोओ और उन में पानी पियो कि हाथ से ज़्यादा पाकीज़ा कोई बर्तन नहीं।

हदीस (20) मुस्लिम व अहमद व तिर्मिज़ी ने अबू क़तादा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि साक़ी (जो लोगों को पानी पिला रहा है वह) सब के आख़िर में पियेगा।

हदीस (21) दैलमी ने अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया पानी को चूस कर पियो कि यह खुशगवार और ज़ूद'हज़म है और बीमारी से बचाव है।

हदीस (22) इब्ने माजा ने हज़रत आयशा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की उन्होंने कहा या रसूलल्लाह किस चीज़ का मना करना हलाल नहीं। फ़रमाया "पानी और नमक और आग" कहती हैं मैंने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह पानी को तो हमने समझ लिया मगर नमक और आग का मना करना

क्यों हलाल नहीं। फ़रमाया "ऐ हुमैरा जिस ने आग देदी गोया उसने उस पूरे को सदक़ा किया जो आग से पकाया गया और जिस ने नमक देदिया गोया उस ने तमाम उस खाने को सदक़ा किया जो उस नमक से दुरुस्त किया गया और जिसने मुसलमान को उस जगह पानी का घूँट पिलाया जहाँ पानी मिलता है तो गोया गर्दन को आज़ाद किया (यानी ग़ुलाम आज़ाद किया) और जिसने मुस्लिम को ऐसी जगह पानी का घूंट पिलाया जहाँ पानी नहीं मिलता है तो गोया उसे ज़िन्दा कर दिया"।

मसाइले फ़िक़्हिया

मसअ्ला.1:– पानी बिस्मिल्लाह कहकर दाहिने हाथ से पिये और तीन सांस में पिये हर मरतबा बर्तन को मुँह से हटाकर सांस ले पहली और दूसरी मरतबा एक एक घूंट पिये और तीसरी सांस में जितना चाहे पी डाले इस तरह पीने से प्यास बुझ जाती है और पानी को चूस कर पिये ग़ट, ग़ट बड़े बड़े घूंट न पिये जब पी चुके अल्हम्दु'लिल्लाह कहे, इस ज़माने में बाज़ लोग बायें हाथ में कटोरा या गिलास लेकर पानी पीते हैं ख़ुसूसन खाने के वक़्त दाहिने हाथ से पीने को ख़िलाफ़े तहज़ीब जानते हैं उनकी यह तहज़ीब तहज़ीबे नसारा है इस्लामी तहज़ीब दाहिने हाथ से पीना है आज कल एक तहज़ीब यह भी है कि गिलास में पीने के बाद जो पानी बचा उसे फ़ेंक देते हैं कि अब वह पानी झूटा होगया जो दूसरे को नहीं पिलाया जायेगा यह हिन्दुओं से सीखा है इस्लाम में छूत छात नहीं मुसलमान के झूटे से बचने के कोई मअ्ना नहीं और उस इल्लत से पानी को फेंकना इसराफ़ है।

मसअ्ला.2:– मश्क के दहाने में मुँह लगाकर पानी पीना मकरूह है क्या मअ्लूम कोई मुज़िर चीज़ उसके हलक़ में चली जाये।(आलमगीरी) इसी तरह लोटे की टूंटी से पानी पीना मगर जबकि लोटे को देख लिया हो कि उस में कोई चीज़ नहीं है सुराही में मुँह लगाकर पानी पीने का भी यही हुक्म है।

मसअ्ला.3:– सबील का पानी मालदार शख़्स भी पी सकता है मगर वहाँ से पानी कोई शख़्स घर नहीं ले जा सकता क्योंकि वहाँ पीने के लिये पानी रखा गया है न कि घर लेजाने के लिये। हाँ अगर सबील लगाने वाले की तरफ़ से उसकी इजाज़त हो तो ले जा सकता है।(आलमगीरी) जाड़ों में अकसर जगह मस्जिद के सक़ाया में पानी गर्म किया जाता है ताकि मस्जिद में जो नमाज़ी आयें उस से वज़ू व ग़ुस्ल करें यह पानी भी वहीं इस्तेअ्माल किया जा सकता है घर लेजाने की इजाज़त नहीं। इसी तरह मस्जिद के लोटों को भी वहीं इस्तेअ्माल कर सकते हैं घर नहीं लेजा सकते बाज़ लोग ताज़ा पानी भर कर मस्जिद के लोटों में घर लेजाते हैं यह भी ना'जाइज़ है।

मसअ्ला.4:–लोटों में वज़ू का पानी बचा हुआ होता है उसे बाज़ लोग फ़ेंक देते हैं यह ना'जाइज़ व इसराफ़ है।

मसअ्ला.5:– वज़ू का पानी और आबे ज़मज़म को खड़े होकर पिया जाये बाक़ी दूसरे पानी को बैठकर।

वलीमा और ज़ियाफ़त का बयान

हदीस (1) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्ने औफ़ रदियल्लाहु तआला अन्हु पर ज़र्दी का असर देखा (यअ्नी ख़लूक़ का रंग उनके बदन या कपड़ों पर लगा हुआ देखा) फ़रमाया "यह क्या है (यअ्नी मर्द के बदन पर उस रंग को न होना चाहिए यह क्योंकर लगा) अर्ज़ की मैंने एक औरत से निकाह किया है। (उस के बदन से यह ज़र्दी छुटकर लग गई) फ़रमाया अल्लाह तआला तुम्हारे लिये मुबारक करे तुम वलीमा करो अगर्चे एक बकरी से या एक ही बकरी से"।

हदीस (2) बुख़ारी व मुस्लिम ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जितना हज़रत ज़ैनब रदियल्लाहु तआला अन्हा के निकाह पर वलीमा किया ऐसा वलीमा अज़्वाजे मुतह्हरात में से किसी का नहीं किया। एक बकरी से वलीमा किया यअ्नी तमाम वलीमों में यह बहुत बड़ा वलीमा था कि एक पूरी बकरी का गोश्त पका था। सहीह बुख़ारी

शरीफ़ की दूसरी रिवायत उन्हीं से है कि हज़रत ज़ैनब बिन्ते ज़हश रदियल्लाहु तआला अन्हा के ज़िफ़ाफ़ के बाद जो वलीमा किया था लोगों को पेट भर रोटी गोश्त खिलाया था।

हदीस (3) सहीह बुख़ारी में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं ख़ैबर से वापसी में ख़ैबर व मदीना के माबैन सफ़िया रदियल्लाहु तआला अन्हा के ज़िफ़ाफ़ की वजह से तीन रातों तक हुज़ूर ने क़ियाम फ़रमाया, मैं मुसलमानों को वलीमा की दअ़वत में बुला लाया। वलीमा में न गोश्त था न रोटी थी। हुज़ूर ने हुक्म दिया, दस्तरख़्वान बिछा दिये गये उस पर खजूरें और पनीर और घी डाल दिया गया इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व इब्ने माजा की रिवायत में है कि हज़रत सफ़िया रदियल्लाहु तआला अन्हा के वलीमे में सत्तू और खजूरें थीं।

हदीस (4) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब किसी शख़्स को वलीमे की दअ़वत दी जाये तो आना चाहिए"।

हदीस (5) सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब किसी को खाने की दअ़वत दी जाये तो क़बूल करनी चाहिए फिर अगर चाहे खाले चाहे न खाये"।

हदीस (6) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला ने फ़रमाया "बुरा खाना वलीमे का खाना है जिस में मालदार लोग बुलाये जाते हैं और फ़ुक़रा छोड़ दिये जाते हैं और जिसने दअ़वत को तर्क किया (यअ़नी बिला सबब इन्कार कर दिया) उसने अल्लाह व रसूल की नाफ़रमानी की। मुस्लिम की एक रिवायत में है वलीमे का खाना बुरा खाना है जो उस में आता है उसे मना करता है और उस को बुलाया जाता है जो इन्कार करता है और जिसने दअ़वत क़बूल नहीं की उसने अल्लाह व रसूल की नाफ़रमानी की।

हदीस (7) अबूदाऊद ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्ललाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिसको दअ़वत दी गई और उसने क़बूल न की उसने अल्लाह व रसूल की नाफ़मानी की और जो बिग़ैर बुलाये गया वह चोर होकर घुसा और ग़ारतगरी करके निकला"।

हदीस (8) तिर्मिज़ी ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊ़द रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया (शादियों में) पहले दिन का खाना हक़ है यअ़नी साबित है उसे करना ही चाहिए और दूसरे दिन का खाना सुन्नत है और तीसरे दिन का खाना सुम्आ है (यअ़नी सुनाने और शोहरत के लिये है) जो सुनाने के लिये कोई काम करेगा अल्लाह तआला उस को सुनायेगा यअ़नी उस की सज़ा देगा।

हदीस (9) अबू दाऊद ने इकरमा से रिवायत की कि ऐसे दो शख़्स जो मुक़ाबला और तफ़ाख़ुर के तौर पर दअ़वत करें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके यहाँ खाने से मना फ़रमाया।

हदीस (10) इमाम अहमद अबूदाऊद ने एक सहाबी से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब दो शख़्स दअ़वत देने बयक वक़्त आयें तो जिसका दरवाज़ा तुम्हारे दरवाज़े से क़रीब हो उस की दअ़वत क़बूल करो और अगर एक पहले आया तो जो पहले आया उसकी क़बूल करो।

हदीस (11) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबू मसऊ़द अन्सारी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि एक अन्सारी जिनकी कुन्नियत अबू शुऐ़ब थी उन्होंने अपने ग़ुलाम से कहा कि इतना खाना पकाओ जो पाँच शख़्सों के लिये किफ़ायत करे मैं नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मअ़ चार असहाब के दअ़वत करूँगा। थोड़ा सा खाना तैयार किया और हुज़ूर को बुलाने आये एक शख़्स हुज़ूर के साथ हो लिये नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अबू शुऐ़ब हमारे

साथ यह शख़्स चला आया अगर तुम चाहो उसे इजाज़त दो और चाहो तो न इजाज़त दो। उन्होंने अर्ज़ की मैंने उन को इजाज़त दी यअ्नी अगर किसी की दअ्वत हो और उसके साथ कोई दूसरा शख़्स बिग़ैर बुलाये चला आये तो ज़ाहिर करदे कि मैं नहीं लाया हूँ और साहिबे ख़ाना को इख़्तियार है उसे खाने की इजाज़त दे या न दे क्योंकि ज़ाहिर न करेगा तो साहिबे ख़ाना को यह ना'गवार होगा कि अपने साथ दूसरों को क्यों लाया।

हदीस (12) बैहक़ी ने शोअ्बुल'ईमान में इमरान बिन हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़ासिक़ों की दअ्वत क़बूल करने से मना फ़रमाया।

हदीस (13) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स अल्लाह और क़ियामत पर ईमान रखता है वह मेहमान का इकराम करे और जो शख़्स अल्लाह और क़ियामत पर ईमान रखता है वह भली बात बोले या चुप रहे और एक रिवायत में यह है कि जो शख़्स अल्लाह और क़ियामत पर ईमान रखता है वह सिला रहमी करे।

हदीस (14) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबू शुरैह कअ्बी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जो शख़्स अल्लाह और क़ियामत के दिन पर ईमान रखता है वह मेहमान का इकराम करे एक दिन रात उसका जाइज़ा है (यअ्नी एक दिन रात उस की पूरी ख़ातिर'दारी करे अपने मक़दूर भर उस के लिये तकल्लुफ़ का खाना तैयार कराये) और ज़ियाफ़त तीन दिन है (यअ्नी एक दिन के बाद मा'हज़र पेश करे) और तीन दिन के बाद सदक़ा है मेहमान के लिये यह हलाल नहीं कि उसके यहाँ ठहरा रहे कि उसे हरज में डालदे"।

हदीस (15) तिर्मिज़ी अबिल'अहवस जश्मी से वह अपने वालिद से रिवायत करते हैं कहते हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह यह फ़रमाईये कि मैं एक शख़्स के यहाँ गया उसने मेरी मेहमानी नहीं की अब वह मेरे यहाँ आये तो उस की मेहमानी करूँगा या बदला दूँगा इरशाद फ़रमाया बल्कि तुम उस की मेहमानी करो।

हदीस (16) इब्ने माजा ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि सुन्नत यह है कि मेहमान को दरवाज़ा तक रूख़्सत करने जाये।

मसाइले फ़िक़्हिया

दअ्वते वलीमा सुन्नत है वलीमा यह है कि शबे ज़िफ़ाफ़ की सुबह को अपने दोस्त, अहबाब, अज़ीज़ व अक़ारिब और महल्ले के लोगों की हसबे इस्तिताअत ज़ियाफ़त करे और उसके लिये जानवर ज़बह करना और खाना तैयार कराना जाइज़ है और जो लोग बुलाये जायें उनको जाना चाहिए कि उनका जाना उस के लिये मसर्रत का बाइस होगा वलीमा में जिस शख़्स को बुलाया जाये उसको जाना सुन्नत है या वाजिब उलमा के दोनों क़ौल हैं, ब'ज़ाहिर यह मालूम होता है कि इजाबत सुन्नते मुअक्कदा है। वलीमे के सिवा दूसरी दावतों में भी जाना अफ़ज़ल है। और यह शख़्स अगर रोज़ा'दार न हो तो खाना अफ़ज़ल है कि अपने मुस्लिम भाई की खुशी में शिरकत और उस का दिल खुश करना है और रोज़ा'दार हो जब भी जाये और साहिबे ख़ाना के लिये दुआ करे और वलीमा के सिवा दूसरी दअ्वतों का भी यही हुक्म है कि रोज़ा'दार न हो तो खाये वरना उस के लिये दुआ करे।(आलमगीरी, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.1:– दअ्वते वलीमा का यह हुक्म जो बयान किया गया है उस वक़्त है कि दअ्वत करने वालों का मक़सूद अदाए सुन्नत हो और अगर मक़सूद तफ़ाख़ुर हो या यह कि मेरी वाह, वाह होगी जैसा कि इस ज़माने में अकसर यही देखा जाता है तो ऐसी दअ्वतों में न शरीक होना बेहतर है ख़ुसूसन अहले इल्म को ऐसी जगह न जाना चाहिए।(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.2:– दअ्वत में जाना उस वक़्त सुन्नत है जब मअ्लूम हो कि वहाँ गाना, बजाना लहव व

लअ़िब नहीं है और अगर मअ़लूम है कि यह खुराफ़ात वहाँ हैं तो न जाये जाने के बाद मअ़लूम हुआ कि यहाँ लग्वियात हैं अगर वहाँ यह चीज़ें हों तो वापस आये और अगर मकान के दूसरे हिस्से में हैं जिस जगह खाना खिलाया जाता है वहाँ नहीं हैं तो वहाँ बैठ सकता है और खा सकता है फिर अगर यह शख़्स उन लोगों को रोक सकता है तो रोकदे और अगर उसकी कुदरत उसे न हो तो सब्र करे यह उस सूरत में है कि यह शख़्स मज़हबी पेशवा न हो अैर अगर मुक़तदा व पेशवा हो मस्लन उ़लमा व मशाइख़ यह अगर न रोक सकते हों तो वहाँ से चले आयें न वहाँ बैठें न खाना खायें और पहले ही से मअ़लूम हो कि वहाँ यह चीज़ें हैं तो मुक़तदा हो या न हो किसी को जाना जाइज़ नहीं अगर ख़ास उस हिस्सए मकान में यह चीज़ें न हों बल्कि दूसरे हिस्से में हों(हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– अगर वहाँ लहव व लअ़िब हो और यह शख़्स जानता है कि मेरे जाने से यह चीज़ें बन्द हो जायेंगी तो उस को इस नियत से जाना चाहिए कि उस के जाने से मुन्किराते शरईया रोक दिये जायेंगे और अगर मअ़लूम है कि वहाँ न जाने से उन लोगों को नसीहत होगी और ऐसे मौक़ेअ़ पर यह हरकतें न करेंगे क्योंकि वह लोग उस की शिरकत को ज़रूरी जानते हैं और जब यह मअ़लूम होगा कि अगर शादियों और तक़रीबों में यह चीज़ें होंगी तो वह शख़्स शरीक न होगा तो उस पर लाज़िम है कि वहाँ न जाये ताकि लोगों को इबरत हो और ऐसी हरकतें न करें।(आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– दअ़्वते वलीमा सिर्फ़ पहले दिन है या उसके बाद दूसरे दिन भी यअ़नी दो ही दिन तक यह दावत होसकती है उसके बाद वलीमा और शादी ख़त्म।(आलमगीरी) हिन्दुस्तान में शादियों का सिल्सिला कई दिन तक क़ाइम रहता है सुन्नत से आगे बढ़ना रिया व सुमआ़ है उस से बचना ज़रूरी है।

मसअ्ला.5:– एक दस्तख़्वान पर जो लोग खाना तनावुल करते हैं उनमें एक शख़्स कोई चीज़ उठाकर दूसरे को देदे यह जाइज़ है जबकि मअ़लूम हो कि साहिबे ख़ाना को यह देना ना'गवार न होगा और अगर मालूम है कि उसे ना'गवार होगा तो देना जाइज़ नहीं। बल्कि अगर मुश्तबह हाल हो मअ़लूम न हो कि ना'गवार होगा या नहीं जब भी न दे।(आलमगीरी) बाज़ लोग एक ही दस्तर'ख़्वान पर मुअ़ज़्ज़िज़ीन के सामने उमदा खाने चुनते हैं और ग़रीबों के लिये मअ़मूली चीज़ें रख देते हैं अगर्चे ऐसा न करना चाहिए कि ग़रीबों की उस में दिल शिकनी होती है मगर उस सूरत में जिस के पास कोई अच्छी चीज़ है उसने ऐसे को देदी जिस के पास नहीं है तो ज़ाहिर यही है कि साहिबे ख़ाना को ना'गवार होगा क्योंकि अगर देना होता तो वह खुद ही उस के सामने भी यह चीज़ें रखता या कम अज़ कम यह सूरते इश्तिबाह की है लिहाज़ा ऐसी हालत में चीज़ देना ना'जाइज़ है और अगर एक ही क़िस्म का खाना है मस्लन रोटी, गोश्त और एक के पास रोटी ख़त्म होगई दूसरे ने अपने पास से उठा कर देदी तो ज़ाहिर यही है कि साहिब ख़ाना को ना'गवार न होगा।

मसअ्ला.6:–दूसरे के यहाँ खाना खा रहा है साइल ने मांगा इस को यह जाइज़ नहीं कि साइल को रोटी का टुकड़ा देदे क्योंकि उसके खाने के लिये रखा है उसको मालिक नहीं कर दिया है कि जिस को चाहे देदे।(आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– दो दस्तर'ख़्वान पर खाना खाया जा रहा है तो एक दस्तर'ख़्वान वाला दूसरे दस्तर' ख़्वान वाले को कोई चीज़ उस पर से उठाकर न दे मगर जब कि यक़ीन हो कि साहिबे ख़ाना को ऐसा करना ना'गवारा न होगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– खाते वक़्त साहिबे ख़ाना का बच्चा आगया तो उस को या साहिबे ख़ाना के ख़ादिम को उस खाने में से नहीं दे सकता।(आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– खाना नापाक हो गया तो यह जाइज़ नहीं कि किसी पागल या बच्चे को खिलाये या किसी ऐसे जानवर को खिलाये जिस का खाना हलाल है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– मेहमान को चार बातें ज़रूरी हैं (1) जहाँ बिठाया जाये वहीं बैठे (2) जो कुछ उस के सामने पेश किया जाये उस पर खुश हो यह न हो कि कहने लगे उस से अच्छा तो मैं अपने ही घर खाया

करता हूँ या इसी किस्म के दूसरे अलफ़ाज़ जैसा कि आज कल अकसर दअ़्वतों में लोग आपस में कहा करते हैं। (3)बिग़ैर इजाज़ते साहिबे ख़ाना वहाँ से न उठे। (4)और जब वहाँ से जाये तो उस के लिये दुआ करे। मेज़बान को चाहिए कि मेहमान से वक़्तन फ़'वक़तन कहे कि और खाओ उस पर इसरार न करे कि कहीं इसरार की वजह से ज़्यादा न खा जाये और यह उस के लिये मुज़िर हो। मेज़बान को बिलकुल ख़ामोश न रहना चाहिए और यह भी न करना चाहिए कि खाना रखकर ग़ाइब होजाये बल्कि वहाँ हाज़िर रहे और मेहमानों के सामने ख़ादिम वग़ैरा पर नाराज़ न हो और अगर साहिबे वुस्अ़त हो तो मेहमान की वजह से घर वालों पर खाने में कमी न करे। मेज़बान को चाहिए कि मेहमान की ख़ातिर'दारी में ख़ुद मशग़ूल हो ख़ादिमों के ज़िम्मे उसको न छोड़े कि यह हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलातु वत्तस्लीम की सुन्नत है अगर मेहमान थोड़े हों तो मेज़बान उन के साथ खाने पर बैठ जाये कि यही तक़ाज़ा–ए–मुरव्वत है और बहुत से मेहमान हों तो उनके साथ न बैठे बल्कि उनकी ख़िदमत और खिलाने में मशग़ूल हो। मेहमानों के साथ ऐसे को न बिठाये जिसका बैठना उन पर गिरां हो।

मसअ्ला.11:– जब खाकर फ़ारिग़ हों उनके हाथ धुलाये जायें और यह न करे कि हर शख़्स के हाथ धोने के बाद पानी फेंक कर दूसरे के सामने हाथ धोने के लिए तश्त पेश करे।(आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– जिसने हदया भेजा अगर उसके पास हलाल व हराम दोनों क़िस्म के अमवाल हों मगर ग़ालिब माल हलाल है तो उसके क़बूल करने में हरज नहीं। यही हुक्म उस के यहाँ दअ़्वत खाने का है और अगर उसका ग़ालिब माल हराम है तो न हदिया क़बूल करे और न उस की दावत खाये जब तक यह न मअ़्लूम हो कि यह चीज़ जो उसे पेश की गई है हलाल है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– जिस शख़्स पर उस का दैन है अगर उसने दअ़्वत की और क़र्ज़ से पहले भी वह उसी तरह दअ़्वत करता था तो क़बूल करने में हरज नहीं और अगर पहले बीस दिन में दावत करता था और अब दस दिन में करता है या अब उसने खाने में तकल्लुफ़ात बढ़ा दिये तो क़बूल न करे कि यह क़र्ज़ की वजह से है।(आलमगीरी)

ज़ुरूफ़ का बयान

मसअ्ला.1:– सोने, चाँदी के बर्तन में खाना, पीना और उन की प्यालियों से तेल लगाना या उन इत्रदान से इत्र लगाना या उनकी अंगीठी से बख़ोर (धूनी लेना,तापना) करना मना है और यह मुमानअ़त मर्द व औरत दोनों के लिये है औरतों को उन के ज़ेवर पहनने की इजाज़त है। जेवर के सिवा दूसरी तरह सोने चाँदी का इस्तेअ़्माल मर्द व औरत दोनों के लिये ना'जाइज़ है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– सोने, चाँदी के चमचे से खाना उनकी सलाई या सुर्मा'दानी से सुर्मा लगाना उनके आईना में मुँह देखना उन की क़लम व दवात से लिखना उनके लोटे या तश्त से वजू करना या उनकी कुर्सी पर बैठना मर्द व औरत दोनों के लिये ममनूअ़ है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.3:– सोने चाँदी की आरसी पहनना औरत के लिये जाइज़ है मगर उस आरसी में मुँह देखना औरत के लिये भी ना'जाइज़ है।

मसअ्ला.4:–सोने, चाँदी की चीज़ों के इस्तेअ़्माल की मुमानअ़त उस सूरत में है कि उन को इस्तेअ़्माल करना ही मक़सूद हो और अगर यह मक़सूद न हो तो मुमानअ़त नहीं मस्लन सोने चाँदी की प्लेट या कटोरे में खाना रखा हुआ है अगर यह खाना उसी में छोड़ दिया जाये तो इज़ाअ़ते माल है उस को उस में से निकाल कर दूसरे बर्तन में लेकर खाये या उस में से पानी चुल्लू में लेकर पिया या प्याली में तेल था सर पर प्याली से तेल नहीं डाला बल्कि किसी बर्तन में या हाथ पर तेल उस ग़र्ज़ से लिया कि उस से इस्तेअ़्माल ना'जाइज़ है लिहाज़ा तेल को उस में से ले लिया जाये और अब इस्तेअ़्माल किया जाये यह जाइज़ है और अगर हाथ में तेल का लेना बग़र्ज़ इस्तेअ़्माल हो जिस तरह प्याली से तेल लेकर सर या दाढ़ी में लगाते हैं उस तरह करने से ना'जाइज़ इस्तेअ़्माल से बचना नहीं है कि यह भी इस्तेअ़्माल ही है।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअला.5:– चाय के बर्तन सोने, चाँदी के इस्तेअ़्माल करना ना'जाइज़ है उसी तरह सोने, चाँदी की घड़ी हाथ में बांधना बल्कि उस में वक़्त देखना भी ना'जाइज़ है कि घड़ी का इस्तेअ़्माल यही है कि उस में वक़्त देखा जाये।(रद्दुल'मोहतार)

मसअला.6:– सोने चाँदी की चीजें महज़ मकान की आराइश व ज़ीनत के लिये हों मस्लन क़रीना है यह बर्तन व क़लम दवात लगादे कि मकान आरास्ता होजाये उसमें हर्ज नहीं यूंही सोने, चाँदी की कुर्सियाँ या मेज़ या तख़्त वग़ैरा से मकान सजा रखा है उनपर बैठता नहीं है तो हरज नहीं(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.7:– बच्चों को बिस्मिल्लाह पढ़ाने के मौक़े पर चाँदी की दवात, क़लम, तख़्ती, लाकर रखते हैं यह चीज़ें इस्तेअ़्माल में नहीं आतीं बल्कि पढ़ाने वाले को देदेते हैं इस में हरज नहीं।

मसअला.8:– सोने, चाँदी के सिवा हर क़िस्म के बर्तन का इस्तेअ़्माल जाइज़ है मस्लन तांबे, पीतल, सीसा, बिल्लौर वग़ैरहा मगर मिट्टी के बर्तनों का इस्तेअ़्माल सबसे बेहतर कि हदीस में है कि जिसने अपने घर के बर्तन मिट्टी के बनवाये फ़िरिश्ते उसकी ज़ियारत को आयेंगे। तांबे और पीतल के बर्तनों पर क़लई होनी चाहिए बिग़ैर क़लई उनके बर्तन इस्तेअ़्माल करना मकरूह है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.9:– जिस बर्तन में सोने चाँदी का काम बना हुआ है उस का इस्तेअ़्माल जाइज़ है जबकि मोज़अ़े इस्तेअ़्माल (इस्तेअ़्माल की जगह) में सोना चाँदी न हो मस्लन कटोरे या गिलास में चाँदी का काम हो तो पानी पीने में उस जगह मुँह न लगे जहाँ सोना या चाँदी है और बाज़ का क़ौल यह है कि वहाँ हाथ भी न लगे और क़ौले अव्वल असह (ज़्यादा सहीह) है।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअला.10:– छड़ी की मोठ, सोने चाँदी की हो तो उस का इस्तेअ़्माल ना'जाइज़ है क्योंकि इस्तेअ़्माल का तरीक़ा यह है कि मोठ पर हाथ रखा जाता है लिहाज़ा मोज़अ़े इस्तिअ़्माल में सोना चाँदी हुई। और अगर उस की शाम (छड़ी के सरों पर चढ़ाया जाने वाला किसी धात का खौल) सोने चाँदी की हो वुस्ता सोने चाँदी का न हो तो इस्तेअ़्माल में हरज नहीं क्योंकि हाथ रखने की जगह पर सोना चाँदी नहीं है उसी तरह क़लम की निब अगर सोने चाँदी की हो तो उससे लिखना ना'जाइज़ है कि वही मोज़अ़े इस्तेअ़्माल है और अगर क़लम के बालाई हिस्सा में हो तो ना'जाइज़ नहीं।

मसअला.11:– चाँदी सोने का कुर्सी या तख़्त में काम बना हुआ है या ज़ीन में काम बना हुआ है तो उस पर बैठना जाइज़ है जबकि सोने चाँदी की जगह से बचकर बैठे म'हसल यह है कि जो चीज़ ख़ालिस सोने चाँदी की है उस का इस्तेअ़्माल मुतलक़न ना'जाइज़ है और अगर उस में जगह जगह चाँदी, सोना है तो अगर मोज़अ़े इस्तेअ़्माल में है तो ना'जाइज़ वरना जाइज़। मस्लन चाँदी की अंगीठी से बख़ोर करना मुतलक़न ना'जाइज़ है अगर्चे धूनी लेते वक़्त उस को हाथ भी न लगाये इसी तरह हुक़्क़े की फ़र्शी चाँदी की है तो उस से हुक़्क़ा पीना ना'जाइज़ है अगर्चे यह शख़्स फ़र्शी पर हाथ न लगाये। उसी तरह हुक़्क़ा की मुँह नाल सोने, चाँदी की है तो उस से हुक़्क़ा पीना ना'जाइज़ है और अगर नेचा पर जगह जगह चाँदी सोने का तार हो तो उस से हुक़्क़ा पी सकता है और उस में जगह जगह चाँदी सोने का तार हो तो उस से हुक़्क़ा पी सकता है जबकि इस्तेअ़्माल की जगह तार न हो। कुर्सी में इस्तेअ़्माल की जगह बैठने की जगह है और उस का तकिया है जिससे पीठ लगाते हैं और उस के दस्ते हैं जिन पर हाथ रखते हैं तख़्त में मोज़अ़े इस्तेअ़्माल बैठने की जगह है उसी तरह ज़ीन में और रिकाब भी सोने चाँदी की ना'जाइज़ है और उस में काम बना हुआ हो तो मोज़अ़् इस्तेअ़्माल में न हो यही हुक्म लगाम और दुम्ची का है।(हिदाया)

मसअला.12:– बर्तन पर सोने चाँदी का मुलम्मअ़् हो तो उस के इस्तेअ़्माल में हरज नहीं।(हिदाया)

मसअला.13:– आईना का हल्क़ा जो ब'वक़्ते इस्तेअ़्माल पकड़ने में न आता हो उस में सोने चाँदी का काम हो उस का भी वही हुक्म है।(हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.14:– तलवार के क़ब्ज़े में और छुरी या पेश क़ब्ज़ (ख़न्जर) के दस्ते में चाँदी या सोने का काम है तो उन का भी वही हुक्म है।(हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.15:– कपड़े में सोने चाँदी के हुरूफ़ बनाये गये उसके इस्तेअ्माल का भी वही हुक्म है।(दुर्रेमुख़्तार) इसमें तफ़सील है जो लिबास के बयान में आयेगी।

मसअ्ला.16:–टूटे हुए बर्तन को चाँदी या सोने के तार से जोड़ना जाइज़ है और उस का इस्तेअ्माल भी जाइज़ है जबकि उस जगह से इस्तेअ्माल न करे जैसा कि ह़दीस में है कि हुज़ूर अक़्दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम का लकड़ी का प्याला था वह टूट गया तो चाँदी के तार से जोड़ा गया और यह प्याला ह़ज़रत अनस रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के पास था।

ख़बर कहाँ मोअ्तबर है

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْۤا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًۢا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ﴾

"ऐ ईमान वालो! अगर फ़ासिक़ तुम्हारे पास कोई ख़बर लाये तो उसे ख़ूब जांच लो कहीं ऐसा न हो कि ना'वाक़िफ़ी में किसी क़ौम को तकलीफ़ पहुँचादो फिर तुम्हें अपने किये पर शर्मिन्दा होना पड़े"।

मसअ्ला.1:– अपने नौकर या गु़लाम को गोश्त लाने के लिये भेजा अगर्चे यह मजूसी या हिन्दू हो वह गोश्त लाया और कहता है कि मुसलमान या किताबी से ख़रीदकर लाया हूँ तो यह गोश्त खाया जा सकता है और अगर उसने आकर यह कहा कि मुश्रिक मस्लन मजूसी या हिन्दू से ख़रीदकर लाया हूँ तो उस गोश्त का खाना ह़राम है कि ख़रीदना बेचना मुआ़मलात में है और मुआ़मलात में काफ़िर की ख़बर मोअ्तबर है अगर्चे ह़िल्लत व हु़रमत (हलाल व हराम होना) दियानात में से हैं और दियानात में काफ़िर की ख़बर ना'मक़बूल है मगर चूंकि अस्ल ख़बर ख़रीदने की है और ह़िल्लत व हु़रमत उस मक़ाम पर ज़िमनी चीज़ है लिहाज़ा जब वह ख़बर मोअ्तबर हुई तो ज़िमनन यह भी सा़बित होजायेगी और अस्ल ख़बर ह़िल्लत व हु़रमत की होती तो ना'मोअ्तबर होती।(हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– मुआ़मलात में काफ़िर की ख़बर मोअ्तबर होना उस वक़्त है जब ग़ालिब गुमान यह हो कि सच कहता है और अगर ग़ालिब गुमान उसका झूटा होना हो तो उस पर अ़मल न करे।(जौहरा)

मसअ्ला.3:– गोश्त ख़रीदा फिर यह मअ्लूम हुआ कि जिससे ख़रीदा है वह मुश्रिक है फेरने को ले गया उसने कहा कि उस जानवर को मुस्लिम ने ज़बह किया है अब भी उस गोश्त को खाना ममनूअ् है।(रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.4:– लौन्डी, गु़लाम और बच्चे की हदिया के मुतअ़ल्लिक़ ख़बर मोअ्तबर है मस्लन बच्चे ने किसी के पास कोई चीज़ लाकर यह कहा कि मेरे वालिद ने आप के पास यह हदिया भेजा है वह शख़्स चीज़ को ले सकता है और उस में तसर्रुफ़ कर सकता है खाने की चीज़ हो तो खा सकता है उसी त़रह लौन्डी, गु़लाम ने कोई चीज़ दी और यह कहा कि मेरे मौला ने यह चीज़ हदिया भेजी है बल्कि यह दोनों ख़ुद अपने मुतअ़ल्लिक़ उस की ख़बर दें कि हमारे मौला ने ख़ुद हमें हदिया किया है यह ख़बर भी मक़बूल है फ़र्ज़ करो लौन्डी ने यह ख़बर दी तो उससे यह शख़्स वती भी कर सकता है।(ज़ैलई)

मसअ्ला.5:– उन लोगों ने यह ख़बर दी कि हमारे वली या मौला ने हमें ख़रीदने की इजाज़त दी है यह ख़बर भी मोअ्तबर है जबकि ग़ालिब उन की सच्चाई हो लिहाज़ा बच्चे ने कोई चीज़ ख़रीदी मस्लन नमक, मिर्च, हलदी, धनिया और कहता है हम को उस की इजाज़त है तो उसके हाथ उस चीज को बेच सकते हैं और अगर ग़ालिब गुमान यह हो कि झूट कहता है तो उसकी बात का एअ्तिबार न किया जाये मस्लन उसे चन्द पैसों की मिठाई या फल वग़ैरा ख़रीदना है और यह बताता है कि मुझे इजाज़त है उस का एअ्तिबार न किया जाये जबकि उस सूरत में बज़ाहिर यह मअ्लूम होता हो कि उस को पैसे इस लिये नहीं मिले हैं कि मिठाई वग़ैरा ख़रीद कर खाले(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– यअ्नी जबकि गुमान ग़ालिब यह हो कि उसे ख़रीदने की इजाज़त नहीं है मस्लन यह गुमान है कि छुपाकर लाया है मिठाई ख़रीद रहा है उसके घर वाले ऐसे कहाँ हैं कि मिठाई

खाने को पैसे देदें इस सूरत में इस के हाथ मिठाई का बेचना भी ना'जाइज़ है।

मसअ्ला.7:– काफिर फ़ासिक़ ने यह ख़बर दी कि मैं फुलां शख़्स का इस चीज़ के बेचने में वकील हूँ उसकी ख़बर एअ्तिबार की जा सकती है और उस चीज को ख़रीद सकते हैं उसी तरह दीगर मुआमलात में भी उन की ख़बरें मक़बूल हैं जबकि ज़न्ने ग़ालिब यह हो कि सच कहता है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– दियानात में मुख़्बिर (ख़बर देने वाले) का आदिल होना ज़रूरी है दियानात से मुराद वह चीज़ें हैं जिनका तअ़ल्लुक़ बन्दा और रब के माबैन है मस्लन हिल्लत, हुरमत, नजासत, तहारत और अगर दियानात के साथ ज़वाले मिल्क भी हो मस्लन मियाँ बीवी के मुतअ़ल्लिक़ किसी ने यह ख़बर दी कि यह दोनों रज़ाई भाई बहन हैं तो उस के सुबूत के लिए फ़क़त अदालत काफ़ी नहीं बल्कि अदद और अदालत दोनों चीज़ें दरकार हैं यअ्नी ख़बर देने वाले दो मर्द या एक मर्द दो औरतें हों और यह सब आदिल हों।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.9:– पानी के मुतअ़ल्लिक़ किसी मुस्लिम आदिल ने यह ख़बर दी कि यह नजिस है तो उस से वजू न करे बल्कि अगर दूसरा पानी न हो तो तयम्मुम करे और अगर फ़ासिक़ या मस्तूर ने ख़बर दी कि पानी नजिस है तो तहर्री (गौर) करे अगर दिल पर यह बात जमती है कि सच कहता है तो पानी को फेंक दे और और तयम्मुम करे वजू न करे और अगर ग़ालिब गुमान यह है कि झूट कहता है तो वजू करे और एहतियात यह है कि वजू के बाद तयम्मुम भी कर ले और अगर काफ़िर ने निजासत की ख़बर दी और ग़ालिब गुमान यह है कि सच कहता है जब भी बेहतर यह है कि उसे फेंक दे फिर तयम्मुम करे।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– एक आदिल ने यह ख़बर दी कि पाक है और दूसरे आदिल ने निजासत की ख़बर दी एक ने ख़बर दी कि यह मुस्लिम का ज़बीहा है और दूसरे ने यह कि मुश्रिक का ज़बीहा है उस में भी तहर्री करे जिधर ग़ालिब गुमान हो उस पर अमल करे। (रद्दुलमुहतार)

लिबास का बयान

हदीस् (1) इमाम बुख़ारी ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रिवायत की कि फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम "तू जो चाहे खा और तू जो चाहे पहन जब तक दो बातें न हों इसराफ़ व तकब्बुर"

हदीस् (2) इमाम अहमद व निसाई व इब्ने माजा ब'रिवायत उमर इब्ने शुऐब अन अबीहि अन जद्दिहि रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "खाओ और पियो और सदक़ा करो और पहनो जब तक इसराफ़ व तकब्बुर की आमेज़िश न हो"।

हदीस् (3) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को हिबरा बहुत पसन्द था यह एक क़िस्म की धारीदार चादर होती थी जो यमन में बनती थी।

हदीस् (4) तिर्मिज़ी ने जाबिर बिन सुमरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने चाँदनी रात में नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को देखा हुज़ूर सुर्ख़ जुब्बा पहने हुए थे यअ्नी उस में सुर्ख़ धारियाँ थीं मैं कभी हुज़ूर को देखता और कभी चाँद को हुज़ूर मेरे नज़्दीक चाँद से ज़्यादा हसीन थे।

हदीस् (5) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूबुर्दा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत है कहते हैं कि हज़रत आयशा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हा ने पैवन्द लगी हुई कमली और मोटा तहबन्द निकाला और यह कहा कि हुज़ूर की वफ़ात उन्ही में हुई। (यअ्नी ब'वक़्ते वफ़ात उसी क़िस्म के कपड़े पहने हुए थे)

हदीस् (6) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जो शख़्स तकब्बुर के तौर पर तहबन्द घसीटे (यअ्नी इतना नीचा करले कि ज़मीन से लग जाये) उस की तरफ़ अल्लाह तआ़ला नज़रे रहमत नहीं

फ़रमायेगा। इब्ने उ़मर रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा की रिवायत में है जो इतराने के तौर पर कपड़ा घसीटेगा उसकी तरफ़ अल्लाह नज़रे रह़मत नहीं करेगा। सह़ीह़ बुख़ारी की उन्हीं से रिवायत है कि एक शख़्स़ इतराने के तौर पर तहबन्द घसीट रहा था ज़मीन में धंसा दिया गया अब वह क़ियामत तक ज़मीन में धंसता ही चला जायेगा।

ह़दीस़ (7) सह़ीह़ बुख़ारी में अबूहुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि टख़नों से नीचे तहबन्द का जो हिस़्सा है वह आग में है।

ह़दीस़ (8) अबू दाऊद व इब्ने माजा अबू सईद खुदरी रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं मोमिन का तहबन्द आधी पिन्डलियों तक है और उसके और टख़नों के दर्मियान में हो उस में भी ह़रज नहीं और उस से जो नीचे हो आग में है और अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन उसकी तरफ़ नज़र नहीं फ़रमायेगा जो तहबन्द को तकब्बुर की वजह से घसीटे।

ह़दीस़ (9) अबू दाऊद व निसाई व इब्ने माजा ने इब्ने उ़मर रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "इसबाल यअ़नी कपड़े के नीचा करने की मुमानअ़त तहबन्द व क़मीस़ व इ़मामा सब में है"। ह़ज़रत सलमा रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हा ने अ़र्ज़ की औ़रतों के लिये क्या हुक्म है फ़रमाया एक बालिश्त लटका लें (यअ़नी आधी पिन्डली के नीचे एक बालिश्त लटकायें) अ़र्ज़ की अब तो औ़रतों के क़दम खुल जायेंगे इरशाद फ़रमाया एक हाथ लटका लें इस से ज़्यादा नहीं।

ह़दीस़ (10) सह़ीह़ मुस्लिम में अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से मरवी कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के पास से गुज़रा फिर फ़रमाया ज़्यादा ऊँचा करो मैंने ज़्यादा कर लिया उसके बाद मैं हमेशा कोशिश करता रहा किसी ने अ़ब्दुल्लाह से पूछा कहाँ तक ऊँचा किया जाये कहा निस़्फ़ पिन्डली तक।

ह़दीस़ (11) सह़ीह़ बुख़ारी में इब्ने उ़मर रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स़ अपना कपड़ा तकब्बुर से नीचा करेगा अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन उसकी तरफ़ नज़रे रह़मत नहीं फ़रमायेगा। ह़ज़रत अबूबक्र रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह मेरा तहबन्द लटक जाता है मगर उस वक़्त कि मैं पूरा ख़्याल रखूँ (यअ़नी उन के शिकम पर तहबन्द रूकता नहीं सरक जाता था) ह़ुज़ूर ने फ़रमाया तुम उन में से नहीं जो ब'राहे तकब्बुर लटकाते हैं (यअ़नी जो बिल'क़स्द तहबन्द को नीचा करते हैं उन के लिये वह वई़द है)

ह़दीस़ (12) अबू दाऊद ने इ़करमा से रिवायत की कहते हैं मैंने इब्ने अ़ब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा को देखा कि उन के तहबन्द का ह़ाशिया पुश्ते क़दम पर था मैंने कहा आप इस त़रह़ तहबन्द बांधते हैं उन्होंने जवाब दिया कि मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को इस त़रह़ तहबन्द बांधे हुए देखा है।

ह़दीस़ (13) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने असमा बिन्ते यज़ीद रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रिवायत की कहती हैं रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की क़मीस़ की आस्तीन गट्टे तक थी।

ह़दीस़ (14) इमाम अह़मद व तिर्मिज़ी व निसाई व इब्ने माजा ने सुमरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि नबी करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "सपेद कपड़े पहनो कि वह ज़्यादा पाक व सुथरे हैं और उन्हीं में अपने मुर्दे कफ़नाओ"।

ह़दीस़ (15) इब्ने माजा ने अबू दरदा रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "सब में अच्छे वह कपड़े जिन्हें पहनकर तुम ख़ुदा की ज़्यारत क़ब्रों और मस्जिदों में करो सपेद हैं यअ़नी सपेद कपड़ों में नमाज़ पढ़ना और मुर्दे कफ़नाना अच्छा है।

हदीस् (16) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने अब्दुल्ला इब्ने अम्र रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कहते हैं एक शख़्स सुर्ख़ कपड़े पहने हुए गुज़रे और उन्होंने हुज़ूर को सलाम किया हुज़ूर ने सलाम का जवाब नहीं दिया।

हदीस् (17) अबूदाऊद ने आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि असमा रदियल्लाहु तआला अन्हा बारीक कपड़े पहनकर हुज़ूर के सामने आईं हुज़ूर ने मुँह फेर लिया और यह फ़रमाया ऐ असमा जब औरत बालिग़ होजाये तो उसके बदन का कोई हिस्सा दिखाई न देना चाहिए सिवा मुँह और हथेलियों के।

हदीस् (18) इमाम मालिक अलक़मा इब्ने अबी अलक़मा से वह अपनी माँ से रिवायत करते हैं कि हफ़सा बिन्ते अब्दुर्रहमान हज़रत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा के पास बारीक दोपट्टा ओढ़ कर आईं हज़रत आयशा ने उनका दो पट्टा फाड़दिया और मोटा दोपट्टा देदिया।

हदीस् (19) तिर्मिज़ी ने इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इमामा बाँधते तो दोनों शानों के दरमियान शिमला लटकाते।

हदीस् (20) बैहक़ी ने शोअ़बुल'ईमान में उबादा बिन सामित रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इमामा बान्धना इख़्तियार करो कि यह फ़रिश्तों का निशान है और उस को पीठ के पीछे लटका लो।

हदीस् (21) तिर्मिज़ी ने रुकाना रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया कि हमारे और मुश्रिकीन के माबैन यह फ़र्क़ है कि हमारे इमामा टोपियों पर होते हैं।

हदीस् (22) तिर्मिज़ी ने आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कहती हैं हुज़ूर ने मुझ से यह फ़रमाया "आयशा अगर तुम मुझ से मिलना चाहती हो तो दुनिया से इतने ही पर बस करो जितना सवार के पास तोशा होता है और मालदारों के पास बैठने से बचो और कपड़े को पुराना न समझों जब तक पेवन्द न लगाओ"।

हदीस् (23) अबू दाऊद अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया "क्या सुनते नहीं हो क्या सुनते नहीं हो रदी हालत में होना ईमान से है रदी हालत में (यानी लिबास की सादगी) होना ईमान से है।

हदीस् (24) इमाम अहमद व अबूदाऊद व इब्ने माजा ने इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स शोहरत का कपड़ा पहने क़ियामत के दिन अल्लाह तआला उसको ज़िल्लत का कपड़ा पहनायेगा"। लिबासे शोहरत से मुराद यह है कि तकब्बुर के तौर पर अच्छे कपड़े पहने या जो शख़्स दुरवेश न हो वह ऐसे कपड़े पहने जिससे लोग उसे दुरवेश समझें या आलिम न हो और उलमा के से कपड़े पहन कर लोगों के सामने अपना आलिम होना जताता है यअ़नी कपड़े से मक़सूद किसी खूबी का इज़हार हो।

हदीस् (25) अबूदाऊद ने एक सहाबी से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो बा'वजूद कुदरत अच्छे कपड़े पहनना तवाज़ोअ़ के तौर पर छोड़दे अल्लाह तआला उस को करामत का हुल्ला पहनायेगा।

हदीस् (26) इमाम अहमद व निसाई जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ़ लाये एक शख़्स को परागन्दा सर देखा जिस के बाल बिखरे हुए हैं फ़रमाया "उस को ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिससे बालों को इकट्ठा करले और दूसरे शख़्स को मैले कपड़े पहने हुए देखा फ़रमाया क्या उसे ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिस से कपड़े धोले"।

हदीस् (27) तिर्मिज़ी ने अब्दुल्लाह इब्ने अम्र रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "अल्लाह तआला को यह बात

पसन्द है कि उस की नेअ्मत का असर बन्दे पर ज़ाहिर हो"।

हदीस (28) इमाम अहमद व निसाई ने अबुल'अहवस से उन्होंने अपने वालिद से रिवायत की कहते हैं मैं रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और मेरे कपड़े घटिया थे हुज़ूर ने फ़रमाया "क्या तुम्हारे पास माल नहीं है" मैंने अर्ज की हाँ है फ़रमाया "किस किस्म का माल है" मैंने अर्ज की खुदा का दिया हुआ हर किस्म का माल है ऊँट, गाय, बकरियाँ, घोड़े, गुलाम, फ़रमाया "जब खुदा ने तुम्हें माल दिया है तो उस की नेअ्मत व करामत का असर तुम पर दिखाई देना चाहिए"।

हदीस (29) सहीह बुखारी व मुस्लिम में हज़रते उमर व अनस व इब्ने ज़ुबैर व अबू'उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हुम से मरवी नबी करीम स़ल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया "जो दुनिया में रेशम पहनेगा वह आखिरत में नहीं पहनेगा"।

हदीस (30) सहीह बुखारी व मुस्लिम में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो दुनिया में रेशम पहनेगा उस के लिये आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है"।

हदीस (31) सहीह बुखारी व मुस्लिम में हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि नबी स़ल्लल्लाहु तअ़ला अलैहि वसल्लम ने रेशम पहनने की मुमानअ़त फ़रमाई मगर इतना और रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दो उंगलियाँ बीच वाली और कलिमे की उंगलियों को मिलाकर इशारा किया सहीह मुस्लिम की एक रिवायत में है कि हज़रत उमर ने खुतबा में फ़रमाया रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रेशम की मुमानअ़त फ़रमाई है मगर दो या तीन या चार उंगलियों की बराबर यअ़नी किसी कपड़े में इतनी चौडी रेशम की गोट लगाई जा सकती है।

हदीस (32) सहीह मुस्लिम में असमा बिन्ते अबी बक्र रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है उन्होंने एक किस'रवानी जुब्बा निकाला जिसका गिरेबान दीबाज का था और दोनों चाकों में दीबाज की गोट लगी हुई थी और यह कहा कि यह रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जुब्बा है जो हज़रत आयशा के पास था जब हज़रत आयशा का इन्तिकाल हो गया मैंने लेलिया हुज़ूर उसे पहना करते थे और हम उसे धोकर बीमारों को बग़र्ज़े शिफ़ा पिलाते हैं।

हदीस (33) तिर्मिज़ी व निसाई ने अबू मूसा अशअ़री रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि नबी स़ल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "सोना और रेशम मेरी उम्मत की औरतों के लिये हलाल है और मर्दों पर हराम"।

हदीस (34) सहीह मुस्लिम में अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़म्र रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कहते हैं कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे कुसुम के रंगे हुए कपड़े पहने हुए देखा फ़रमाया यह काफ़िरों के कपड़े हैं उन्हें तुम मत पहनों मैंने कहा उन्हें धो डालूँ फ़रमाया कि जलादो।

हदीस (35) तिर्मिज़ी अबुल'मलीह से वह अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दरिन्दा की खाल बिछाने से मनअ् फ़रमाया।

हदीस (36) तिर्मिज़ी ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब क़मीस़ पहनते तो दाहिने से शुरूअ् करते।

हदीस (37) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने अबू'सईद खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब नया कपड़ा पहनते उसका नाम लेते इमामा या कमीस़ या चादर फिर यह दुआ पढ़ते।

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيْهِ اَسْئَلُكَ خَيْرَهٗ وَ خَيْرَ مَا صُنِعَ لَهٗ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَ شَرِّ مَا صُنِعَ لَهٗ

तर्जमा:— ऐ अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल! तेरा शुक्र है जैसे तूने मुझे यह (कपड़ा) पहनाया, वैसे ही मैं तुझ से उस की भलाई और जिस मक़सद के लिये बनाया गया उसकी भलाई का सुवाल करता हूँ और उस के शर और जिस मक़सद के लिये यह बनाया गया उसके शर से तेरी पनाह चाहता हूँ"।

हदीस (38) अबूदाऊद ने मआज़ इब्ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स कपड़ा पहने और यह दुआ पढ़े तो उस के अगले गुनाह बख़्श दिये जायेंगे"।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ کَسَانِیْ هٰذَا وَ رَزَقَنِیْهِ مِنْ غَیْرِ حَوْلٍ مِّنِّیْ وَ لَا قُوَّةٍ

तर्जमा :–"तमाम तारीफ़ें अल्लाह तआला के लिये हैं जिसने मुझे यह (लिबास) पहनाया और मेरी ताक़त व कुव्वत के बिग़ैर यह अता फ़रमाया"

हदीस (39) इमाम अहमद ने अबू मुतिर से रिवायत की कि हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु ने तीन दिरहम में कपड़ा ख़रीदा उस को पहनते वक़्त यह पढ़ा।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ رَزَقَنِیْ مِنَ الرِّیَاشِ مَا اَتَجَمَّلُ بِهٖ فِی النَّاسِ وَ اُوَارِیْ بِهٖ عَوْرَتِیْ

तर्जमा :– "अल्लाह तआला का शुक्र है जिसने मुझे वह लिबास पहनाया जिससे मैं अपना सत्र ढांपता हूँ और अपनी जिन्दगी में उससे ज़ीनत करता हूँ"

फ़िर यह कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को यही पढ़ते हुए सुना।

हदीस (40) इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने नया कपड़ा पहना और यह पढ़ा।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ کَسَانِیْ مَا اُوَارِیْ بِهٖ عَوْرَتِیْ وَ اَتَجَمَّلُ بِهٖ فِیْ حَیَاتِیْ

तर्जमा :– "तमाम तारीफ़ें अल्लाह तआला के लिये हैं जिसने मुझे वह लिबास अता फ़रमाया जिस से मैं लोगों में ज़ीनत करता हूँ और अपना सत्र ढांपता हूँ"

फ़िर यह कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है कि "ज़ो शख़्स नया कपड़ा पहनते वक़्त यह पढ़े और पुराने कपड़े को सदक़ा करदे, वह ज़िन्दगी में और मरने के बाद अल्लाह तआला के कनफ़ व हिफ़्ज़ व सित्र में रहेगा"। तीनों लफ़्ज़ के एक ही मअ़ना हैं यअ़नी अल्लाह तआला उस का हाफ़िज़ व निगेहबान है।

हदीस (41) इमाम अहमद व अबूदाऊद ने इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स जिस क़ौम से तशब्बोह करे वह उन्हीं में से है" यह हदीस एक अस्ले कुल्ली है लिबास व आदात व अतवार में किन लोगों से मुशाबहत करनी चाहिए और किन से नहीं करनी चाहिए कुफ़्फ़ार व फ़ुस्साक़ व फ़ुज्जार से मुशाबहत बुरी है और अहले सलाह व तक़वा की मुशाबहत अच्छी है फिर उस तशबीह के भी दरजात हैं। और उन्हीं के एअ़तिबार से अहकाम भी मुख़्तलिफ़ हैं कुफ़्फ़ार व फ़ुस्साक़ से तशबीह का अदना मरतबा कराहत है मुसलमान अपने को लोगों से मुमताज़ रखे कि पहचाना जा सके और ग़ैर मुस्लिम का शुबह उस पर न हो सके।

हदीस (42) अबूदाऊद ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन औरतों पर लअ़नत की जो मर्दों से तशबीह करें और उन मर्दों पर जो औरतों से तशबीह करें।

हदीस (43) अबूदाऊद ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस मर्द पर लअ़नत की जो औरत का लिबास पहनता है और उस औरत पर लअ़नत की जो मर्दाना लिबास पहनती है।

हदीस (44) अबूदाऊद व इमरान इब्ने हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "न मैं सुर्ख़ ज़ीन'पोश पर सवार होता हूँ और न कुसुम का रंगा हुआ कपड़ा पहनता हूँ और न वह क़मीज़ पहनता हूँ जिस में रेशम का कफ़ लगा हुआ हो"। (यअ़नी चार अंगुल से ज़ाइद) सुन लो मर्दों की ख़ुशबू वह है जिस में बू हो और रंग न हो और औरतों की ख़ुशबू वह है जिस में रंग हो बू न हो यअ़नी मर्दों में ख़ुशबू मक़सूद होती है उस का रंग नुमायाँ न होना चाहिए कि बदन या कपड़ा रंगीन होजाये और औरतें हलकी ख़ुशबू इस्तेअ़माल करें कि यहाँ ज़ीनत मक़सूद होती है और यह रंगीन ख़ुशबू मसलन ख़लूक़ से हासिल होती है तेज़ ख़ुशबू से ख़्वाह म'ख़्वाह लोगों की निगाहें उठेंगी।

हमे बड़ी मुसर्रत हो रही है कि अल्लाह त'आला और उसके हबीब सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम के हुक्म फ़ज़्ल-ओ-करम से और बुज़ुर्गाने दीन सिलसिला-ए-क़ादिरिया बिलख़ुसूस पिराने पीर दस्तगीर हुज़ूर ग़ौस-ए-आज़म शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रादिअल्लाहु त'आला अन्हू के फ़ैज़ से क़िताब बहार-ए-शरीअत (हिस्सा **11** से **20**) हिंदी में पीडीएफ़ **[PDF]** में आप की खिदमत में पेश की जा रही है।

ज़माना-ए- क़दीम से अवमुन्नास की इस्लाहे हाल और हिदायते उख़रवी व दुनयवी के लिए हक़ सदाक़त के जाम की फ़राहमी की जाती रही हैं और ये इलतेज़ाम ख़ालिक़-ए-क़ायनात जल्ला जलालहु ने ब अहसान अपनी मख़लूक़ के लिए फ़रमाया है। अम्बिया व मुर्सलीन के बेहतरीन दौर के बाद उसने यह ख़िदमत अपने मुक़र्रबीन रिज़वानुल्लाह त'आला अलैहिम अजमईन के सुपुर्द की और यह सिलसिला अला हालही जारी व सारि है।

मज़हब-ए-इस्लाम अल्लाह त'आला का पसंदीदा दीन है। ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नही जिसके लिए इस्लाम ने हमे क़ानून न दिया हो।

आज जिस दौर से हम गुज़र रहे है हमारा मुस्लिम तबका उर्दू की तरफ ध्यान नही दे रहा है और नई नस्ल तो बिल्कुल ही उर्दू से नावाक़िफ़ होती जा रही है। नतीजे के तौर पर दीनी और मज़हबी दिलचस्पियाँ कम हो रही है और हम अपने हाल को ग़ैर मुंज़बित तरीके पे छोड़े रहते है।

लिहाज़ा ये किताब हिंदी में लिखी गई है और आप सब की आसानी के लिए हम ने इस किताब को पीडीएफ फ़ाइल में आप की ख़िदमत में पेश किया है।
आप सब से हमारी गुज़ारिश है कि अपनी मसरूफ ज़िन्दगी में से रोज़ाना वक़्त निकाल कर बुज़ुर्गो की तस्नीफ़ करदा किताबो को मुताला में रखें, इंशा अल्लाह त'आला दीन और दुनिया दोनो में मक़बूल होंगे।

दुआओं के तलबगार

वसीम अहमद रज़ा खान और साथी
+91-8109613336

हदीस (45) तिर्मिज़ी ने अबू रिमसा तैमी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ हुज़ूर दो सब्ज़ कपड़े पहने हुए थे।

हदीस (46) अबू दाऊद ने दह़्या इब्ने ख़लीफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में चन्द क़िब्ती कपड़े लाये गये हुज़ूर ने एक मुझे दिया और फ़रमाया कि उस के दो टुकड़े कर लो एक टुकड़े की क़मीस बनवालो और एक अपनी बीवी को देदेना वह ओढ़नी बनालेगी जब यह चले तो हुज़ूर ने फ़रमाया कि "अपनी बीवी से कह देना कि उस के नीचे कोई दूसरा कपड़ा लगाले ताकि बदन न झलके"।

हदीस (47) सह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बिछौना जिस पर आराम फ़रमाते थे चमड़े का था जिस में खजूर की छाल भरी थी।

हदीस (48) सह़ीह़ मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "एक बिछौना मर्द के लिये और एक उस की ज़ौजा के लिये और तीसरा मेहमान के लिये और चौथा शैतान के लिये" यअ़्नी घर के आदमियों और मेहमानों के लिये बिछौने जाइज़ हैं और ह़ाजत से ज़्यादा न चाहिए।

मसअ्ला.1:– इतना लिबास जिस से सत्रे औ़रत होजाये और गर्मी, सर्दी की तकलीफ़ से बचे फ़र्ज़ है और उस से ज़ाइद जिस से ज़ीनत मक़सूद हो और यह कि जब कि अल्लाह तआला ने दिया है तो उस की नेअ़्मत का इज़्हार किया जाये यह मुस्तह़ब है ख़ास मौक़ों पर मसलन जुमा या ईद के दिन उ़मदा कपड़ा पहनना मुबाह़ है इस क़िस्म के कपड़े रोज़ न पहने क्योंकि हो सकता है कि इतराने लगे और ग़रीबों को जिसके पास ऐसे कपडे नहीं हैं नज़रे ह़िक़ारत से देखे लिहाज़ा उससे बचना ही चाहिए और तकब्बुर के तौर पर जो लिबास हो वह ममनूअ़् है तकब्बुर है या नहीं उस की शनाख़्त यूं करे कि उन कपड़ों के पहनने से पहले अपनी जो ह़ालत पाता था और अगर पहनने के बा़द भी वही ह़ालत है तो मअ़्लूम हुआ कि उन कपड़ों से तकब्बुर पैदा नहीं हुआ अगर वह ह़ालत अब बाक़ी नहीं रही तो तकब्बुर आगया लिहाज़ा ऐसे कपड़े से बचे कि तकब्बुर बहुत बुरी सिफ़त है(रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला.2:– बेहतर यह है कि ऊनी या सूती या कितान के कपड़े बनवाये जायें जो सुन्नत के मुवाफ़िक़ हों न निहायत आ़ला दर्जे के हों न बहुत घटिया बल्कि मुतवस्सित (दरम्याना) क़िस्म के हों कि जिसतरह बहुत आ़ला दर्जे के कपड़ों से नुमूद होती है बहुत घटिया कपड़े पहनने से भी नुमाइंश होती है लोगों की नज़रें उठती हैं समझते हैं कि यह कोई साह़िबे कमाल और तारिकुद्दुनिया शख़्स है सफ़ेद कपड़े बेहतर हैं कि ह़दीस में उस की तअ़्रीफ़ आई है और स्याह कपड़े भी बेहतर हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़तह़ मक्का के दिन मक्का मुअ़ज़्ज़मा में तशरीफ़ लाये तो सरे अक़्दस पर स्याह इ़मामा था सब्ज़ कपड़ों को बाज़ किताबों में सुन्नत लिखा है(रद्दुल मुह़तार)

मसअ्ला.3:– सुन्नत यह है कि दामन की लम्बाई आधी पिन्डली तक हो और आस्तीन की लम्बाई ज़्यादा से ज़्यादा उंगलियों के पोरों तक और चौड़ाई एक बालिश्त हो।(रद्दुल मुह़तार) इस ज़माने में बहुत से मुसलमान पाजामा की जगह जांघिया पहनने लगे हैं इस के ना जाइज़ होने में क्या कलाम कि घुटने का खुला होना ह़राम है और बहुत लोगों के कुर्ते की आस्तीनें कोहनी के ऊपर होती हैं यह भी ख़िलाफ़े सुन्नत है। और यह दोनों कपड़े नसारा की तक़लीद में पहने जाते हैं उस चीज़ ने उन की क़बाह़त में इज़ाफ़ा कर दिया। अल्लाह तआला मुसलमानों की आँखें खोले कि वह कुफ़्फ़ार की तक़लीद और उन की वज़अ़् क़तअ़् से बचें ह़ज़रत अमीरूल मोमेनीन फ़ारूके आ़ज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु का इरशाद जो अपने लश्करियों के लिये भेजा था जिन में पेश्तर ह़ज़रात सह़ाबाए किराम थे उस को मुसलमान पेशे नज़र रखें और अ़मल की कोशिश करें और वह इरशाद यह है अ़जिमयों के भेस से बचो उन जैसी वज़अ़् क़तअ़् न बना लेना।اِيَّاكُمْ وَزِىَّ الْاَعَاجِمِ

मसअ्ला.4:– रेशम के कपड़े मर्द के लिये ह़राम हैं बदन और कपड़ों के दरम्यान कोई दूसरा कपड़ा हाइल हो या न हो दोनों सूरतों में ह़राम हैं और जंग के मौके पर पहनना जाइज़ है और अगर ताना रेशम हो और बाना सूत हो तो हर शख़्स के लिये हर मौके पर जाइज़ है मुजाहिद और ग़ैर मुजाहिद दोनों पहन सकते हैं। लड़ाई के मौके पर ऐसा कपड़ा पहनना जिसका बाना रेशम हो उस वक़्त जाइज़ है जब कि कपड़ा मोटा हो और अगर बारीक हो तो ना'जाइज़ है कि उसका जो फ़ाइदा था उस सूरत में ह़ासिल न होगा।(हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– ताना रेशम हो और बाना सूत मगर कपड़ा उस त़रह बनाया गया है कि रेशम ही रेशम दिखाई देता है तो उस का पहनना मकरूह है।(आलमगीरी) बाज़ क़िस्म की मख़मल ऐसी होती है कि उस के रूऐं रेशम के होते हैं उसके पहनने का भी यही हुक्म है उस की टोपी और स़दरी वग़ैरा न पहनी जायें।

मसअ्ला.6:– रेशम के बिछौने पर बैठना, लेटना और उस का तकिया लगाना भी ममनूअ़ है अगर्चे पहनने में ब'निस्बत उस के ज़्यादा बुराई है।(आलमगीरी) मगर दुर्रेमुख़्तार में उसे मशहूर के ख़िलाफ़ बताया है और ज़ाहिर यही है कि यह जाइज़ है।

मसअ्ला.7:– टसर कि एक क़िस्म के रेशम का नाम है भागलपुरी कपड़े टसर के कहलाते हैं। वह मोटा रेशम होता है उसका हुक्म भी वही है जो बारीक रेशम का है काशी सिल्क और चाइना सिल्क भी रेशम ही है उस के पहनने का भी वही हुक्म है सन और राम बांस के कपड़े जो ब'ज़ाहिर बिल'कुल रेशम मअ्लूम होते हों उनका पहनना अगर्चे रेशम का पहनना नहीं है मगर उससे बचना चाहिए ख़ुसूसन उलमा को कि लोगों को बदज़नी का मौक़ा मिलेगा या दूसरों को रेशम पहनने का ज़रिआ बनेगा इस ज़माने में केले का रेशम चला है यह रेशम नहीं है बल्कि किसी दरख़्त की छाल से उसको बनाते हैं और यह बहुत ज़ाहिर तौर पर शनाख़्त में आता है उसको पहनने में ह़रज नहीं।

मसअ्ला.8:– रेशम का लिहाफ़ ओढ़ना ना'जाइज़ है कि यह भी लुब्स (पहनने) में दाख़िल है रेशम के पर्दे दरवाज़ों पर लटकाना मकरूह है कपड़े बेचने वाले ने रेशम के कपड़े कंधे पर डाल लिये जैसा कि फेरी करने वाले कंधों पर डाल लिया करते हैं यह ना'जाइज़ नहीं कि यह पहनना नहीं है और अगर जुब्बा या कुर्ता रेशम का हो और उस की आस्तीनों में हाथ डाल लिये अगर्चे बेचने ही के लिये लेजा रहा है यह ममनूअ़ है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– औरतों को रेशम पहनना जाइज़ है अगर्चे ख़ालिस रेशम हो उस में सूत की बिलकुल आमेज़िश न हो।(आम्मा कुतुब)

मसअ्ला.10:– मर्दों के कपड़ों में रेशम की गोट चार अंगुल तक की जाइज़ है इस से ज़्यादा ना'जाइज़ यअ्नी उस की चौड़ाई चार अंगुल तक हो लम्बाई का शुमार नहीं उसी त़रह अगर कपड़े का किनारा रेशम से बुना हो जैसा कि बाज़ इमामा या चादरों या तहबन्द के किनारे इस त़रह के होते हैं उस का भी यही हुक्म है कि अगर चार अंगुल तक का किनारा हो तो जाइज़ है वरना ना'जाइज़ (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार) यअ्नी जबकि उस किनारे की बनावट भी रेशम की हो और अगर सूत की बनावट हो तो चार अंगुल से ज़्यादा भी जाइज़ है इमामा या चादर के पल्लू रेशम से बुने हों तो चूंकि बाना रेशम का होना ना'जाइज़ है लिहाज़ा यह पल्लू भी चार अंगुल का ही होना चाहिए ज़्यादा न हो।

मसअ्ला.11:– आस्तीन या गिरेबान या दामन के किनारे पर रेशम का काम हो तो वह भी चार अंगुल ही तक हो स़दरी या जुब्बा का साज़ रेशम का हो तो चार अंगुल तक जाइज़ है और रेशम की घुंडियाँ भी जाइज़ हैं टोपी का तुर्रा भी चार अंगुल का जाइज़ है पाजामा का नेफ़ा भी चार अंगुल तक का जाइज़ है अचकन या जुब्बा में शानों और पीठ पर रेशम के पान या केरी चार अंगुल तक के जाइज़ हैं। (रद्दुलमुहतार) यह हुक्म उस वक़्त है कि पान वग़ैरा मुग़र्रक़ (यानी रेशम से बिल'कुल ढका

हुआ) हों कि कपड़ा दिखाई न दे और अगर मुग़र्रक़ न हों तो चार अंगुल से ज़्यादा भी जाइज़ है।

मसअ्ला.12:– रेशम के कपड़े का पैवन्द किसी कपड़े में लगाया अगर यह पैवन्द चार अंगुल तक का हो जाइज़ है और ज़्यादा हो तो ना'जाइज़ रेशम को रूई की तरह कपड़े में भर दिया गया मगर अबरा और अस्तर दोनों सूती हों तो उसका पहनना जाइज़ है और अगर अबरा या अस्तर दोनों में से कोई भी रेशम हो तो ना'जाइज़ है उसी तरह टोपी का अस्तर भी रेशम का ना'जाइज़ है और टोपी में रेशम का किनारा चार अंगुल तक जाइज़ है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.13:– टोपी में लैस लगाई गई या इमामा में गोटा, लचका लगाया अगर यह चार अंगुल से कम चौड़ा है जाइज़ है वरना नहीं।

मसअ्ला.14:– मुतफ़र्रिक़ जगहों पर रेशम का काम है तो उस को जमअ् नहीं किया जायेगा यअ्नी अगर एक जगह चार अंगुल से ज़्यादा नहीं है मगर जमा करें तो ज़्यादा हो जायेगा यह ना'जाइज़ नहीं। लिहाज़ा कपड़े की बनावट में जगह जगह रेशम की धारियाँ हों तो जाइज़ है जब कि एक जगह चार अंगुल से ज़्यादा चौड़ी कोई धारी न हो यही हुक्म नक़्श व निगार का है कि एक जगह चार अंगुल से ज़्यादा न होना चाहिए और अगर फूल या काम इस तरह बनाया है कि रेशम ही रेशम नज़र आता हो जिस को मुग़र्रक़ (रेशम से ढका हुआ) कहते हैं जिसमें कपड़ा नज़र ही नहीं आता तो उस काम को मुतफ़र्रिक़ नहीं कहा जा सकता उस क़िस्म का रेशम या ज़री का काम टोपी या अचकन या सदरी या किसी कपड़े पर हो और चार अंगुल से ज़ाइद हो तो ना'जाइज़ है।(दुर्रेमुख़्तार) धारियों के लिए अंगुल से ज़्यादा न होना उस वक़्त ज़रूरी है कि बाने में धारियाँ हों और अगर ताने में हों और बाना सूत हो तो चार अंगुल से ज़्यादा होने की सूरत में भी जाइज़ है।

मसअ्ला.15:– कपड़ा इस तरह बुना गया कि एक तागा सूत है और एक रेशम मगर देखने में बिल्कुल रेशम मअ्लूम होता है यअ्नी सूत नज़र नहीं आता यह ना'जाइज़ है।(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.16:– सोने चाँदी से कपड़ा बुना जाये जैसा कि बनारसी कपड़े में ज़री बुनी जाती है कम'ख़्वाब और पोत में ज़री होती है और उसी बनारसी इमामा के किनारा और दोनों तरफ़ के हाशिए ज़री के होते हैं उन का यह हुक्म है कि अगर एक जगह चार अंगुल से ज़्यादा हो तो ना'जाइज़ है वरना जाइज़। मगर कमख़्वाब और पोत में चूंकि ताना, बाना दोनों रेशम होता है। लिहाज़ा ज़री अगर्चे चार उंगल से कम हो जब भी ना'जाइज़ है हाँ अगर सूती कपड़ा होता या ताना रेशम और बाना सूत होता और उस में ज़री बुनी जाती तो चार उंगल तक जाइज़ होता जैसा कि इमामा सूत का होता है और उस में ज़री बुनी जाती है उसका यही हुक्म है कि एक जगह चार उंगल से ज़्यादा ना'जाइज़ है यह हुक्म मर्दों के लिये है औरतों के लिए गोटे, लचके अगर्चे कितने ही जड़े हों जाइज़ हैं और मुग़र्रक़ और ग़ैर मुग़र्रक़ का फ़र्क़ भी मर्दों ही के लिये है औरतों के लिये मुतलक़न जाइज़ है। (अल'मुस्तफ़ाद मिन रद्दिलमुहतार)

मसअ्ला.17:– ज़री की बनावट का जो हुक्म है वही उसके नक़्श व निगार का भी है अब भी ज़री की टोपियाँ बाज़ लोग पहनते हैं अगर काम के दरम्यान से कपड़ा नज़र आता हो तो चूंकि एक जगह चार उंगल नहीं है जाइज़ है और मुग़र्रक़ हो कि बिल'कुल काम लिसा हुआ हो तो चार उंगल से ज़्यादा ना'जाइज़ है उसी तरह कामदानी कि कपड़ा ज़री के काम से छुप गया हो तो चार उंगल से ज़्यादा जब एक जगह हो ना'जाइज़ है वरना जाइज़।

मसअ्ला.18:– कमर की पेटी रेशम की हो तो ना'जाइज़ है और अगर सूती हो उस में रेशम की धारी हो और चार उंगल तक हो तो जाइज़ है। (आलमगीरी) कलाबत्तू (चाँदी या सोने के तारों की डोर) की पेटी ना'जाइज़ है बाज़ रुऊसा अपने सिपाहियों और चपरासियों की पेटियाँ इस क़िस्म की बनवाते हैं उन को बेचना चाहिए।

मसअ्ला.19:– रेशम की मच्छर'दानी मर्दों के लिये भी जाइज़ है क्योंकि उसका इस्तेअ्माल पहनने

में दाखिल नहीं।(दुर्रेमुख़्तार)
मसअला.20:– रेशम के कपड़े में तअ्वीज़ सीकर गले में लटकाना या बाज़ू पर बान्धा ना'जाइज़ है कि यह पहनने में दाखिल है इसी तरह सोने और चाँदी में रख कर पहनना भी ना'जाइज़ है और चाँदी या सोने ही पर तअ्वीज़ खुदा हुआ हो यह बदरजा ऊला ना'जाइज़ है।
मसअला.21:– रेशम की टोपी अगर्चे इमामा के नीचे हो यह भी ना'जाइज़ है इसी तरह ज़री की टोपी भी ना'जाइज़ है अगर्चे इमामा के नीचे हो। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार) ज़री कुलाह जो अफ़गानी और सरहदी और पंजाबी इमामा के नीचे पहनते हैं और वह मुग़र्रक़ होती है और उसका काम चार उंगल से ज़्यादा होता है यह ना'जाइज़ है हाँ अगर चार उंगल या कम हो तो जाइज़ है।
मसअला.22:– रेशम का कमर'बन्द ममनूअ् है रेशम के डोरे में तस्बीह गूँधी जाये तो उस को गले में डालना मनअ् है इस तरह घड़ी का डोरा रेशम का हो तो उसको गले में डालना या रेशम की चैन काज में डालकर लटकाना भी ममनूअ् है रेशम का डोरा या फ़ीता कलाई पर बांधना भी मनअ् है उन सब में यह नहीं देखा जायेगा कि यह चार उंगल से कम है क्योंकि यह चीज़ पूरी रेशम की है सोने चाँदी की ज़न्जीर घड़ी में लगाकर उसको गले में पहनना या काज में लटकाना या कलाई पर बान्धना मनअ् है। (रद्दुलमुहतार) बल्कि दूसरी धात मस्लन तांबे, पीतल, लोहे वग़ैरा की चैनों का भी यही हुक्म है क्योंकि उन धातों का भी पहनना ना'जाइज़ है और अगर उन चीज़ों को लटकाया नहीं और कलाई पर बाँधा बल्कि जेब में पड़ी रहती है तो ना'जाइज़ नहीं कि उन के पहनने से मुमानअत है जब रखना मनअ् नहीं।
मसअला.23:– कुर्आन मजीद का जुज़'दान ऐसे कपड़े का बनाया जिस का पहनना ममनूअ् है तो उस में कुर्आन मजीद रख सकता है मगर उस में फ़ीता लगाकर गले में डालना ममनूअ् है यअ्नी मुमानअत उसी सूरत में है कि जुज़'दान रेशम या ज़री का हो।(दुर्रेमुख़्तार)
मसअला.24:– रेशम की थैली में रूपया रखना मना नहीं हाँ उसको गले में लटकाना मना है(रद्दुलमुहतार)
मसअला.25:– रेशम का बटुआ गले में लटकाना मनअ् है और उसमें छालियाँ, तम्बाकू को रखकर उसे जेब में रखना और उसमें से खाना मनअ् नहीं कि उसका पहनना मनअ् है न कि मुतलक़न इस्तेअ्माल और ज़री के बटुए का मुतलक़न इस्तेअ्माल मनअ् है क्योंकि सोने, चाँदी का मुतलक़न इस्तेअ्माल मनअ् है उस में से छालियाँ, तम्बाकू को खाना भी मनअ् है।
मसअला.26:– फ़स्साद फ़स्द लेते वक़्त (यानी फ़स्द खोलने वाला रग से खून निकालते वक़्त) पट्टी बाँधता है ताकि रगें ज़ाहिर होजायें यह पट्टी रेशम की हो तो मर्द को बाँधना ना'जाइज़ है।(आलमगीरी)
मसअला.27:– रेशम के मुसल्ले पर नमाज़ पढ़ना हराम नहीं(रद्दुलमुहतार मगर उसपर पढ़ना न चाहिए।
मसअला.28:– मकान को रेशम, चाँदी, सोने से आरास्ता करना मस्लन दीवारों, दरवाज़ों पर रेशम के पर्दे लटकाना और जगह जगह क़रीने से सोने चाँदी के ज़ुरूफ़ व आलात (यानी बर्तन और आलात) रखना जिस से मक़सूद महज़ आराइश व ज़ेबाइश (सजावट) हो तो कराहत है और अगर तकब्बुर व तफ़ाख़ुर से ऐसा करता है तो ना'जाइज़ है। (रद्दुलमुहतार) ग़ालिबन कराहत की वजह यह होगी कि ऐसी चीज़ें अगर्चे इब्तिदाअन तकब्बुर से न हों मगर बिल'आख़िर उमूमन उनसे तकब्बुर पैदा होजाया करता है।
मसअला.29:– फुक़हा व उलमा को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए कि वह पहचाने जायें ताकि लोगों को उनसे इस्तिफ़ादा का मौक़ा मिले और इल्म की वक़अत लोगों के ज़हन नशीन हो। (रद्दुल'मुहतार) और अगर उसको अपना ज़ाती तशख़्ख़ुस व इम्तियाज़ मक़सूद हो तो यह मज़मूम है।
मसअला.30:– खाने के वक़्त बाज़ लोग घुटनों पर कपड़ा डाल लेते हैं ताकि अगर शोरबा टपके तो कपड़े ख़राब न हों जो कपड़ा घुटनों पर डाला गया अगर रेशम है तो ना'जाइज़ है। रेशम का रूमाल नाक वग़ैरा पोंछने या वज़ू के बाद हाथ मुँह पोंछने के लिये जाइज़ है यअ्नी जब कि उस से पोंछने का काम ले रूमाल की तरह उसे न रखे और तकब्बुर भी मक़सूद न हो। (रद्दुल'मुहतार)
मसअला.31:– सोने चाँदी के बटन कुर्ते या अचकन में लगाना जाइज़ है जिस तरह रेशम की घुन्डी

जाइज है। (दुर्रेमुख्तार) यअ्नी जब कि बटन बिगैर जंजीर हों और अगर जंजीर वाले बटन हों तो उनका
इस्तेअ्माल ना'जाइज है कि यह जंजीर जेवर के हुक्म में है जिसका इस्तेअ्माल मर्द को ना'जाइज है।
मसअ्ला.32:– आशोबे चशम की वजह से मुँह पर स्याह रेशम का निकाब डालना जाइज है कि
यह उज़्र की सूरत है। (दुर्रेमुख्तार) इस जमाने में रंगीन चश्मे बिकते हैं जो धूप और रौशनी के मौके
पर लगाये जाते हैं ऐसा चश्मा होते हुए रेशम के इस्तेअ्माल की जरूरत नहीं रहती।
मसअ्ला.33:– नाबालिग लडकों को भी रेशम पहनना हराम है और गुनाह पहनाने वाले पर है।
मसअ्ला.34:– कुसुम या जअफरान का रंगा हुआ कपडा पहनना मर्द को मनअ् है गहरा रंग हो कि
सुर्ख होजाये या हलका हो कि जर्द रहे दोनों का एक हुक्म है। औरतों को यह दोनों किस्म के रंग
जाइज हैं उन दोनों रंगों के सिवा बाकी हर किस्म के रंग जर्द, सुर्ख, धानी, बसन्ती, चमपई, नारंगी
वगैरहा मर्दों को भी जाइज हैं। अगर्चे बेहतर यह है कि सुर्ख रंग या शोख़ रंग के कपडे मर्द न
पहने खुसूसन जिन रंगों में जनाना'पन हो मर्द उसको बिल'कुल न पहने।(दुर्रेमुख्तार, रद्दुल्मुहतार) और
यह मुमानअत रंग की वजह से नहीं बल्कि औरतों से तशब्बोह होता है इस वजह से मुमानअत है
लिहाज़ा अगर यह इल्लत न हो तो मुमानअत भी न होगी मस्लन बाज रंग इस किस्म के हैं कि
इमामा रंगा जा सकता है और कुर्ता, पाजामा उसी रंग से रंगा जाये या चादर रंग कर ओढें तो उस
मे ज़नाना'पन ज़ाहिर होता है तो इमामा को जाइज़ कहा जायेगा और दूसरे कपड़ों को मकरूह।
मसअ्ला.35:– जिसके यहाँ मय्यित हुई उसे इजहारे गम में स्याह कपडे पहनना ना'जाइज है।
(आलमगीरी) स्याह बेल लगाना भी ना'जाइज़ है कि अव्वलन तो वह सोग की सूरत है दोम यह कि
नसारा का यह तरीका है। अय्यामे मुहर्रम में यानी पहली मुहर्रम से बारहवीं तक तीन किस्म के रंग
न पहने जायें स्याह कि यह राफ़ज़ियों का तरीका है और सब्ज कि यह मुब्तदेईन यानी ताजिया'दारों
का तरीका है और सुर्ख़ कि यह ख़ारिजियों का तरीका है कि वह मआजल्लाह इजहारे मसर्रत के
लिये सुर्ख़ पहनते हैं।(आलाहजरत किब्ला कुद्दिस सिर्रहू)
मसअ्ला.36:– ऊन और बालों के कपडे अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है सबसे पहले
सुलैमान अलैहिस्सलाम ने यह कपड़े पहने हदीस में है कि ऊन के कपडे पहनकर अपने दिलों को
मुनव्वर करो कि यह दुनिया में मुज़ल्लत है और आख़िरत में नूर हैं। (आलमगीरी) और सौफ़ यानी ऊन
के कपड़े औलियाए कामिलीन और बुजुर्गाने दीन ने पहने और उन को सूफी कहने की एक वजह
यह भी है कि वह सौफ़ यानी ऊन के कपड़े पहनते थे अगर्चे उनके जिस्म पर काली कमली होती
मगर दिल मख़्ज़ने अन्वारे इलाही और मअ्दने असरारे ना'मुतनाही होता मगर इस जमाने में ऊन के
कपड़े बहुत बेश कीमत होते हैं और उनका शुमार लिबासहाए फ़ाख़िरा में होता है यह चीजें फ़ुकरा
व गुरबा को कहाँ मिलें। उन्हें तो उमरा व रुऊसा इस्तेअ्माल करते हैं फ़ुकहा और हदीस का
मकसद गालिबन उन बेश कीमत ऊनी कपड़ों से पूरा न होगा बल्कि मअ्मूली देसी कम्बल जो कम
वकअत समझे जाते हैं उन के इस्तेअ्माल से वह बात पूरी होगी।
मसअ्ला.37:– पाजामा पहनना सुन्नत है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सित्रे औरत है।(आलमगीरी) उसको
सुन्नत बई मअ्ना कहा गया है कि हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसे पसन्द
फ़रमाया और सहाबा किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम ने पहना खुद हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु तआला
अलैहि वसल्लम तहबन्द पहना करते थे पाजामा पहनना साबित नहीं।
मसअ्ला.38:– मर्द को ऐसा पाजामा पहनना जिसके पाइंचे के अगले हिस्से पुश्ते कदम पर रहते हों
मकरूह है कपड़ों में इस्बाल यानी इतना नीचा कुर्ता, पाजामा, तहबन्द पहनना कि टख़ने छुप जायें
ममनूअ् है यह कपडे आधी आधी पिन्डली से लेकर टख़ने तक हों यानी टख़ने न छुपने पायें (आलमगीरी)
मगर पाजामा या तहबन्द बहुत ऊँचा पहनना आजकल वहाबियों का तरीका है लिहाज़ा इतना ऊँचा
भी न पहने कि देखने वाला वहाबी समझे। इस ज़माने में बाज़ लोगों ने पाजामे बहुत नीचे पहनने

शुरूअ़ कर दिये हैं कि टख़ने तो क्या एड़ियाँ छुप जाती हैं ह़दीस़ में इस की बहुत सख़्त मुमानअ़त आई है यहाँ तक कि इरशाद फ़रमाया कि ''टख़ने से जो नीचा हो वह जहन्नम में है'' और बाज़ लोग इतना ऊँचा पहनते हैं कि घुटने भी खुल जाते हैं जिसको नेकर कहते हैं यह नसरानियों से सीखा है ऊँचा पहनते हैं तो घुटने खोल देते हैं और नीचा पहनते हैं तो ऐड़ियाँ छुपा देते हैं इफ़रात़ व तफ़रीत़ से अ़लाहि़दा होकर मसनून त़रीक़ा नहीं इख़्तियार करते। बाज़ लोग चूड़ी'दार पाजामा पहनते हैं उसमें भी टख़ने छुपते हैं और अ़ज़ू की पूरी हैअ़त (जिस्म की पूरी बनावट) नज़र आती है औरतों को बिल'ख़ुसूस चूड़ी'दार पाजामा नहीं पहनना चाहिए औरतों के पाजामा ढीले ढाले हों और नीचा हों कि क़दम छुप जायें उनके लिये जहाँ तक पाँवों का ज़्यादा हिस़्सा छुपे अच्छा है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.39:– मोटे कपडे पहनना और पुराना हो जायें तो पैवन्द लगाकर पहनना इस्लामी त़रीक़ा है (आलमगीरी) ह़दीस में फ़रमाया कि जब तक पैवन्द लगाकर पहन न लो कपड़े को पुराना न समझो और बहुत बारीक कपड़े न पहने जिससे बदन की रंगत झलके ख़ुस़ूस़न तहबन्द कि अगर यह बारीक है तो सित्रे औ़रत न हो सकेगा। इस ज़माने में एक यह बला भी पैदा होगई है कि साड़ी का तहबन्द पहनते हैं जिससे बिलकुल सित्रे औ़रत नहीं होता और उसी को पहनकर बाज़ लोग नमाज़ भी पढ़ते हैं उनकी नमाज़ भी नहीं होती कि सित्रे औ़रत नमाज़ में फ़र्ज़ है बाज़ लोग पाजामा और तहबन्द, धोती, बाँधते हैं धोती बाँधना हिन्दुओं का त़रीक़ा है और उससे सित्रे औ़रत भी नहीं होता चलने में रान का पिछला हि़स्सा खुल जाता है और नज़र आता है।

मसअ्ला.40:– सद्ल यानी सर या शाने पर कपड़ा डालकर उसके किनारे लटकाये रखना नमाज़ में मकरूह है जिसका बयान गुज़र चुका मगर नमाज़ में न हो तो मकरूह है या नहीं उस में तफ़स़ील यह है कि अगर कुर्ता, पाजामा या तहबन्द पहने हुए है और चादर को सर या शानों से लटका दिया तो मकरूह नहीं और अगर कुर्ता नहीं पहने हुए है तो सद्ल मकरूह है। (आलमगीरी) पोस्तीन पहनना जाइज़ है बुज़ुर्गाने दीन उ़लमा व मशाइख़ ने पहनी है जो जानवर ह़लाल नहीं अगर उसको ज़बह़ करलिया हो या उसके चमड़े की दबाग़त करली हो तो उसकी पोस्तीन भी पहनी जा सकती है और उसकी टोपी ओढ़ी जा सकती है मस़लन लोमड़ी की पोस्तीन या सम्मूर की पोस्तीन कि बिल्ली की शक्ल का एक जानवर होता है जिसकी पोस्तीन बनाई जाती है उसी त़रह़ सन्जाब की पोस्तीन यह घूंस (यानी बडा चूहा) की शक्ल का जानवर होता है।

मसअ्ला.41:– दरिन्दा जानवर शेर, चीता वग़ैरा की पोस्तीन में भी ह़रज नहीं उस को पहन सकते हैं उस पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। (आलमगीरी) अगर्चे अफ़ज़ल इससे बचना है ह़दीस़ में चीते की खाल पर स़वार होने की मुमानअ़त आई है।

मसअ्ला.42:– एक मुँह पोंछने के लिये रूमाल रखना या वज़ू के बाद हाथ मुँह पोंछने के लिये रूमाल रखना जाइज़ है इसी त़रह़ पसीना पोंछने के लिये रूमाल रखना जाइज़ है और अगर ब'राहे तकब्बुर हो तो मनअ़ है। (आलमगीरी)

इ़मामा का बयान

इ़मामा बाँधना सुन्नत है ख़ुस़ूस़न नमाज़ में कि जो नमाज़ इ़मामा के साथ पढ़ी जाती है उसका स़वाब बहुत ज़्यादा होता है इ़मामा के मुतअ़ल्लिक़ चन्द ह़दीसें ऊपर ज़िक्र की जाचुकी हैं।

मसअ्ला.1:– इ़मामा बाँधे तो उसका शिमला पीठ पर दोनों शानों के दरम्यान लटका ले। शिमला कितना होना चाहिए इसमें इख़्तिलाफ़ है ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो कि बैठने में न दबे।(आलमगीरी) बाज़ लोग शिमला बिल'कुल नहीं लटकाते यह सुन्नत के ख़िलाफ़ है और बाज़ शिमला को ऊपर लाकर इ़मामा में घुरस देते हैं यह भी न चाहिए ख़ुस़ूस़न ह़ालते नमाज़ में ऐसा है तो नमाज़ मकरूह होगी।

मसअ्ला.2:– इ़मामा को जब फिर से बाँधना हो तो उसे उतारकर ज़मीन पर फेंक न दे बल्कि जिस त़रह़ लिपटा है उसी त़रह़ उधेढ़ा जाये।(आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– टोपी पहनना खुद हुज़ूर अक्दस स़ल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम से स़ाबित है (आलमगीरी) मगर हुजूर अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम इमामा भी बाँधते थे यानी इमामा के नीचे टोपी होती और यह फ़रमाया कि हम में और उनमें फ़र्क टोपी पर इमामा बाँधना है यअ्नी हम दोनों चीजें रखते हैं और वह सिर्फ़ इमामा ही बाँधते हैं उसके नीचे टोपी नहीं रखते चुनाँचे यहाँ के कुफ़्फ़ार भी अगर पगड़ी बाँधते हैं तो उसके नीचे टोपी नहीं पहनते बाज़ ने ह़दीस् का यह मतलब बयान किया कि सिर्फ़ टोपी पहनना मुश्रिकीन का तरीक़ा है मगर यह क़ौल स़हीह़ नहीं क्योंकि मुश्रिकीने अ़रब भी इमामा बाँधा करते थे मिरक़ात शरह मिश्कात में मज़कूर है कि हुज़ूर अक्दस स़ल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम का छोटा इमामा सात हाथ का और बड़ा इमामा बारह हाथ का था बस उसी सुन्नत के मुताबिक़ इमामा रखे उस से ज़्यादा बड़ा न रखे बाज़ लोग बहुत बड़े इमामा बांधते हैं ऐसा न करे कि सुन्नत के ख़िलाफ़ है मारवाड़ के इलाके में बहुत से लोग पगड़ियाँ बाँधते हैं जो बहुत कम चौड़ी होती हैं और चालीस पचास गज़ लम्बी होती हैं इस तरह की पगड़ियाँ मुसलमान न बाँधें।

मुतफ़र्रिक़ मसाइल :– बुजुर्गाने दीन औलिया व स़ालेहीन के मज़ाराते त़य्यिबा पर ग़िलाफ़ डालना जाइज़ है जब कि यह मक़सूद हो कि स़ाहिबे मज़ार की वक़्अ़त नज़रे अ़वाम में पैदा हो उनका अदब करें उनके बरकात ह़ासिल करें।(रद्दुल'मुह़तार)

मसअ्ला.4:– याददाश्त के लिये यानी इस ग़र्ज़ से कि बात याद रहे बाज़ लोग रूमाल या कमर'बन्द में गिरह लगा लेते हैं या किसी जगह उंगली वग़ैरह पर डोरा बाँध लेते हैं यह जाइज़ है और बिला वजह डोरा बान्ध लेना मकरूह है।

मसअ्ला.5:– गले में तअ्वीज़ लटकाना जाइज़ है जबकि वह तअ्वीज़ जाइज़ हो यानी आयाते कुर्आनिया या असमा–ए–इलाहिया (अल्लाह के नामों) या अदईय्या (दुआओं) से तअ्वीज़ किया जाये और बाज़ ह़दीसों में जो मुमानअ़त आई है उससे मुराद वह तअ्वीज़ात हैं जो ना'जाइज़ अलफ़ाज़ पर मुश्तमिल हों जो ज़माना–ए–जाहिलयत में किये जाते थे उसी तरह तअ्वीज़ात और आयात व अह़ादीस् व अदईय्या को रकाबी में लिखकर मरीज़ को ब'नियते शिफ़ा पिलाना भी जाइज़ हैं। जुनुब व ह़ाइज़ व नुफ़सा भी तअ्वीज़ात को गले में पहन सकते हैं बाज़ू पर बाँध सकते हैं जब कि ग़िलाफ़ में हों। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– बिछौने या मुस़ल्ला पर कुछ लिखा हुआ हो तो उस को इस्तेअ्माल करना ना'जाइज़ है यह इबारत उसकी बनावट में हो या काढ़ी गई हो या रोशनाई से लिखी हो अगर्चे हुरूफ़ मुफ़रदा(यानी जुदा,जुदा लिखे हुए हुरूफ़)लिखे हों क्योंकि हुरूफ़ मुफ़रदा का भी एह़तिराम है।(रद्दुलमुह़तार) अकस़र दस्तर'ख़्वान पर इबारत लिखी होती है ऐसे दस्तर'ख़्वानों को इस्तेअ्माल में लाना उनपर खाना न चाहिए बाज़ लोगों के तकियों पर अशआ़र लिखे होते हैं उनका भी इस्तेअ्माल न किया जाये।

मसअ्ला.7:– बाज़ काश्तकार अपने खेतों में कपड़ा लपेट कर किसी लकड़ी पर लगा देते हैं उस से मक़सूद नज़रे बद से खेतों को बचाना होता हैं क्योंकि देखने वाले की नज़र पहले इस पर पड़ेगी उसके बाद ज़राअ़त पर पड़ेगी और उस सूरत में ज़राअ़त को नज़र नहीं लगेगी ऐसा करना ना'जाइज़ नहीं क्यों कि नज़र का लगना स़हीह़ है, अह़ादीस से स़ाबित है। उस का इन्कार नहीं किया जा सकता ह़दीस् में है कि जब अपनी या किसी मुसलमान भाई की चीज़ देखे और पसन्द आये तो बरकत की दुआ़ करे यह कहे। تبارك الله احسن الخالقين اللهم بارك فيه या उर्दू में यह कहदे कि "अल्लाह बरकत करे" इस तरह कहने से नज़र नहीं लगेगी।(रद्दुलमुह़तार)

जूता पहनने का बयान

ह़दीस् (1) स़हीह़ मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना कि "जूते ब'कस़रत इस्तेअ्माल करो कि आदमी जब तक जूते पहने हुए है गोया वह सवार है यानी कम थकता है"।

ह़दीस् (2) स़हीह़ बुख़ारी में इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मैंने ऐसी नअ्लैन पहने देखा जिनमें बाल न थे।

हदीस (3) सहीह बुख़ारी में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुजूर की नअ्लैन में दो किबाल थे यानी उंगलियों के मा'बैन दो तस्मे थे।

हदीस (4) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जब जूता पहने तो पहले दाहिने पाँव में पहने और जब उतारे तो पहले बायें पाँव का उतारे कि दाहिना पहनने में पहले हो और उतारने में पीछे"।

हदीस (5) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "एक जूता पहनकर न चले दोनों उतार दे या दोनों पहनले"।

हदीस (6) सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जूते का तस्मा लोट जाये तो फ़क़त एक जूता पहनकर न चले बल्कि तस्मा को दुरूस्त करले और एक मोज़ा पहनकर न चले"।

हदीस (7) तिर्मिज़ी ने जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से और इब्ने माजा ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि हुज़ूर ने खड़ा होकर जूता पहनने से मनअ् फ़रमाया यह हुक्म उन जूतों का है जिसको खड़ा होकर पहनने में दिक़्क़त होती है जिस में तस्मे बाँधने की ज़रूरत होती है उसी तरह बूट जूता भी बैठ कर पहने कि उस में भी फ़ीता बाँधना पड़ता है और खड़े होकर बाँधने में दूश्वारी होती है और जो इस क़िस्म के न हों जैसे सलीम शाही या पम्प या वह चप्पल जिसमें तस्मा बाँधना नहीं होता उनको खडे होकर पहनने में मुज़ाइक़ा नहीं।

हदीस (8) तिर्मिज़ी ने आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कभी एक नअ्ल पहनकर भी चले हैं यह बयाने जवाज़ के लिये होगा या दो एक क़दम चलना हुआ होगा मसलन हुजरे का दरवाज़ा खोलने के लिये।

हदीस (9) अबूदाऊद ने इब्ने अबी मुलैका से रिवायत की कि किसी ने हज़रत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से कहा कि एक औरत (मर्दों की तरह) जूते पहनती है। उनहोंने फ़रमाया रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मर्दानी औरतों पर लअ्नत फ़रमाई यानी औरतों को मर्दाना जूता नहीं पहनना चाहिए बल्कि वह तमाम बातें जिनमें मर्दों और औरतों का इम्तियाज़ होता है उनमें हर एक को दूसरे की वज़अ् इख़्तियार करने से मुमानअत है न मर्द औरत की वज़अ् इख़्तियार करे न औरत मर्द की।

हदीस (10) अबूदाऊद ने अब्दुल्लाह इब्ने बुरैदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि किसी ने फ़ज़ाला बिन उबैद रदियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि क्या बात है कि आप को परागन्दा सर देखता हूँ उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम को कस्रते इरफ़ाह यानी बने संवरे रहने से मनअ् फ़रमाते थे उसने कहा क्या बात है कि आप को नंगे पाँव देखता हूँ उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआल अलैहि वसल्लम हम को हुक्म फ़रमाते कि कभी कभी हम नंगे पाँव रहें।

मसअ्ला.1:– बाल के चमड़े की जूतियाँ जाइज़ हैं बल्कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बाज़ मरतबा इस क़िस्म की नअ्लैन इस्तेअ्माल फ़रमाई हैं लोहे की कीलों से सिले हुए जूते जाइज़ हैं बल्कि इस ज़माने में ऐसे बहुत जूते बनते हैं जिनकी सिलाई कीलों से होती है।(आलमगीरी)

अंगूठी और ज़ेवर का बयान

हदीस (1) सहीह मुस्लिम में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब यह इरादा फ़रमाया कि किसरा व क़ैसर व नजाशी को ख़ुतूत लिखे जायें तो किसी ने यह अर्ज़ की कि वह लोग बिग़ैर मुहर के ख़त को क़बूल नहीं करते हुज़ूर ने चाँदी की अंगूठी बनवाई जिसमें यह नक़्श था 'मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह' इमाम बुख़ारी की रिवायत में है

कि अँगूठी का नक्श तीन सतर में था एक सतर में मुहम्मद दूसरी सतर में रसूल तीसरी में अल्लाह

हदीस (2) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी बनवाई और एक रिवायत में है कि उसको दाहिने हाथ में पहना फिर उसको फेंक दिया और चाँदी की अँगूठी बनवाई जिसमें यह नक्श था 'मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह' और यह फ़रमाया कि कोई शख़्स मेरी अँगूठी के नक्श के मुवाफ़िक अपनी अंगूठी में नक्श कन्दा न कराये और हुज़ूर जब अँगूठी पहनते तो नगीना हथेली की तरफ़ होता।

हदीस (3) सहीह बुख़ारी में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अँगूठी चाँदी की थी और उसका नगीना भी था।

हदीस (4) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में उन्हीं से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दाहिने हाथ में चाँदी की अँगूठी पहनी और उसका नगीना हब्शी साख़्त का था और नगीना हथेली की जानिब रखते।

हदीस (5) मुस्लिम की रिवायत उन्हीं से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अँगूठी उस उंगली में थी यअ्नी बायें हाथ की छंगुलियाँ में।

हदीस (6) सहीह मुस्लिम में हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसमें या इसमें यानी बीच वाली में या कलिमा की उंगली में अंगूठी पहनने से मुझे मनअ् फ़रमाया।

हदीस (7) इब्ने माजा ने अब्दुल्लाह बिन जअ्फ़र रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से और अबू दाऊद व निसाई ने हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दाहिने हाथ में अँगूठी पहनते थे और अबूदाऊद ने इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि बायें हाथ में पहनते थे इन दोनों हदीसों से मअ्लूम होता है कि कभी दाहिने में पहनी और कभी बायें में मगर बैहक़ी ने कहा कि दाहिने हाथ में अँगूठी पहनना मन्सूख़ है।

हदीस (8) अबूदाऊद व निसाई ने हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दाहिने हाथ में रेशम लिया और बायें हाथ में सोना फिर यह फ़रमाया कि "यह दोनों चीज़ें मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम हैं"।

हदीस (9) सहीह मुस्लिम में हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क़सी (यह एक किस्म का रेशमी कपड़ा है) और कुसुम के रंगे हुए कपड़े और सोने की अँगूठी पहनने से और रुकूअ् में क़ुर्आन मजीद पढ़ने से मनअ् फ़रमाया।

हदीस (10) सहीह मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक शख़्स के हाथ में सोने की अँगूठी देखी तो उसको उतारकर फेंकदिया और यह फ़रमाया कि क्या कोई अपने हाथ में अंगारा रखता है। जब हुज़ूर तशरीफ़ लेगये किसी ने उनसे कहा कि अपनी अँगूठी उठालो और किसी काम में लाना उन्होंने कहा ख़ुदा की क़सम मैं उसे कभी न लूँगा जब कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम न उसे फेंकदिया।

हदीस (11) अबूदाऊद व निसाई ने मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चीते की खाल पर सवार होने से और सोना पहनने से मुमानअ़त फ़रमाई मगर रेज़ा रेज़ा करके यानी अगर कपड़े में सोने के बारीक बारीक रेज़ा लगाये जायें तो ममनूअ् नहीं।

हदीस (12) इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि मोअत्ता में फ़रमाते हैं कि बच्चों को सोना पहनाना बुरा जानता हूँ क्योंकि मुझे यह हदीस पहुँची है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सोने की अँगूठी से मुमानअ़त फ़रमाई लिहाज़ा मर्दों के लिये बुरा है छोटे और बड़े दोनों के लिये।

हदीस (13) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व निसाई ने बुरैदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि

एक शख़्स पीतल की अंगूठी पहने हुए थे हुज़ूर ने फ़रमाया क्या बात है कि तुम से बुत की बू आती है उन्होंने वह अंगूठी फेंकदी फिर लोहे की अंगूठी पहनकर आये फ़रमाया क्या बात है कि तुम जहन्नमियों का ज़ेवर पहने हुए हो उसे भी फेंका और अर्ज़ की या रसूलल्लाह किस चीज़ की अंगूठी बनाऊँ फ़रमाया चाँदी की बनाओ। और एक मिस्क़ाल पूरा न करो यानी चार माशे से कम की हो। तिर्मिज़ी की रिवायत में है कि लोहे के बाद सोने की अंगूठी पहनकर आये। हुज़ूर ने फ़रमाया कि "क्या बात है तुम को जन्नतियों का ज़ेवर पहने देखता हूँ" यानी सोना तो अहले जन्नत जन्नत में पहनेंगे।

हदीस् (14) अबूदाऊद व निसाई ने अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दस चीज़ों को बुरा बताते थे। (1)ज़र्दी यानी मर्द को खलूक़ इस्तेअ्माल करना (2)सफ़ेद बालों में स्याह ख़िज़ाब करना (3)तहबन्द लटकाना (4)सोने की अंगूठी पहनना (5)बे महल औरत का ज़ीनत को ज़ाहिर करना यानी शौहर और मुहारिम के सिवा दूसरों के सामने इज़हारे ज़ीनत (6)पांसा फेंकना यानी चैसर व शतरंज वग़ैरा खेलना (7)झाड़ फूंक करना मगर मऊज़ात से यानी जिसमें ना'जाइज़ अलफ़ाज़ हों उनसे झाड़ फूंक मनअ् है। और (8)तअ्वीज़ बाँधना यानी वह तावीज़ बान्धना जिसमें ख़िलाफ़े शरअ् अलफ़ज़ हों और (9)पानी को ग़ैर महल में गिराना यानी वती के बाद मनी को बाहर गिराना कि यह आज़ाद औरत में बिग़ैर इजाज़त ना'जाइज़ है और यह भी हो सकता है कि उस से मुराद लिवातत हो और (10)बच्चा को फ़ासिद करदेना मगर इस दसवें को हराम नहीं किया यानी बच्चे के दूध पीने के ज़माने में उसकी माँ से वती करना कि अगर वह हामिला होगई तो बच्चा खराब होजायेगा।

हदीस् (15) अबूदाऊद ने अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कहते हैं कि हमारे यहाँ की लौन्डी हज़रत ज़ुबैर की लड़की को हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास लाई और उसके पाँव में घुंगरू थे हज़रत उमर ने उन्हें काट दिया और फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्ललाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है कि हर घुंगरू के साथ शैतान होता है।

हदीस् (16) अबूदाऊद ने रिवायत की कि हज़रत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा के पास एक लड़की आई जिसके पाँव में घुंगरू बज रहे थे फ़रमाया कि उसे मेरे पास न लाना जब तक उसके घुंगरू काट न लेना मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस घर में जर्स यानी घंटी या घुंगरू होते हैं उसमें फ़िरिश्ते नहीं आते।

मसअ्ला.17:– मर्द को ज़ेवर पहनना मुतलक़न हराम है सिर्फ़ चाँदी की एक अंगूठी जाइज़ है जो वज़न में एक मिस्क़ाल यानी साढ़े चार माशा से कम हो और सोने की अंगूठी भी हराम है तलवार का हिल्या चाँदी का जाइज़ है यानी उसके नियाम और क़ब्ज़ा या परतले (यानी वह पेटी या चौड़ा तस्मा जिसमें तलवार लटकी रहती है) में चाँदी लगाई जा सकती है ब'शर्ते कि वह चाँदी मौज़अ् इस्तेअ्माल (इस्तेअ्माल की जगह) में न हो। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.18:– अंगूठी सिर्फ़ चाँदी ही की पहनी जा सकती है दूसरी धात की अंगूठी पहनना हराम है मसलन लोहा, पीतल, तांबा, जस्त वग़ैरहा इन धातों की अंगूठियाँ मर्द व औरत दोनों के लिये ना'जाइज़ हैं फ़र्क़ इतना है कि औरत सोना भी पहन सकती है और मर्द नहीं पहन सकता हदीस् में है कि एक शख़्स हुज़ूर की ख़िदमत में पीतल की अंगूठी पहनकर हाज़िर हुए फ़रमाया क्या बात है कि तुम से बुत की बू आती है उन्होंने वह अंगूठी फेंकदी। फिर दूसरे दिन लोहे की अंगूठी पहनकर हाज़िर हुए क्या बात है कि तुम पर जहन्नमियों का ज़ेवर देखता हूँ उन्होंने उसको भी उतार दिया और अर्ज़ की या रसूलल्लाह किस चीज़ की अंगूठी बनाऊँ फ़रमाया कि चाँदी की और उस को एक मिस्क़ाल पूरा न करना।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.19:– बाज़ उलमा ने यश्ब और अक़ीक़ की अंगूठी जाइज़ बताई और बाज़ ने हर किस्म के पत्थर की अंगूठी की इजाज़त दी और बाज़ उस सब की मुमानअत करते हैं। लिहाज़ा एहतियात

का तकाज़ा यह है कि चाँदी के सिवा हर किस्म की अंगूठी से बचा जाये ख़ुसूसन जबकि साहिबे हिदाया जैसा जलीलुल कद्र का मैलान उन सब के अदमे जवाज़ (यानी ना'जाइज़ होने) की तरफ़ है।

मसअ्ला.20:– अंगूठी से मुराद हल्का है नगीना नहीं। नगीना हर किस्म के पत्थर का हो सकता है अक़ीक़, याकूत, ज़ुमुर्रुद, फ़ीरोज़ा वग़ैरहा सब का नगीना जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.21:– जब उन चीज़ों की अंगूठियाँ मर्द व औरत दोनों के लिये ना'जाइज़ हैं तो उनका बनाना और बेचना भी ममनूअ़् हुआ कि यह ना'जाइज़ काम पर इआनत है। हाँ बैअ् की मुमानअ़त वैसी नहीं जैसी पहनने की मुमानअ़त है।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.22:– लोहे की अंगूठी पर चाँदी का ख़ौल चढ़ा दिया कि लोहा बिलकुल न दिखाई देता हो उस अंगूठी के पहनने की मुमानअ़त नहीं।(आलमगीरी) इससे मालूम हुआ कि सोने के ज़ेवरों में जो बहुत लोग अन्दर तांबे या लोहे की सलाख़ रखते हैं और ऊपर से सोने का पत्तर चढ़ा देते हैं उसका पहनना जाइज़ है।

मसअ्ला.23:– अंगूठी के नगीने में सूराख़ करके उसमें सोने की कील डालदेना जाइज़ है।(हिदाया)

मसअ्ला.24:– अंगूठी उन्हीं के लिये मसनून है जिनको मुहर करने की हाजत होती है जैसे सुल्तान व क़ाज़ी और उ़लमा जो फ़तावा पर मुहर करते हैं उनके सिवा दूसरों के लिये जिन को मुहर करने की हाजत न हो मसनून नहीं मगर पहनना जाइज़ है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.25:– मर्द को चाहिए कि अगर अंगूठी पहने तो उसका नगीना हथेली की तरफ़ रखे और औरतें नगीना हाथ की पुश्त की तरफ़ रखें कि उनका पहनना ज़ीनत के लिये है और ज़ीनत उसी सूरत में ज़्यादा है कि नगीना बाहर की जानिब रहे।(हिदाया)

मसअ्ला.26:– दाहिने या बायें जिस हाथ में चाहें अंगूठी पहन सकते हैं और छंगुलिया में पहनी जाये।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.27:– अंगूठी पर अपना नाम कन्दा करा सकता है और अल्लाह तआ़ला और हुज़ूर सल्लल्लाह तआ़ला अ़लैहि वसल्लम का नामे पाक भी कन्दा करा सकता है मगर 'मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह' यानी यह इबारत कन्दा न कराये कि यह हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की अंगुश्तरी पर तीन सतरों में कन्दा थी पहली सत्र मुहम्मद दूसरी रसूल तीसरी इसमे जलालत और हुज़ूर ने फरमादिया था कि कोई दूसरा शख़्स अपनी अंगूठी पर यह नक़्श कन्दा न कराये। नगीने पर इन्सान या किसी जानवर की तस्वीर कन्दा न कराये।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.28:– अंगूठी वही जाइज़ है जो मर्दों की अंगूठी की तरह हो यानी एक नगीने की हो और अगर उसमें कई नगीने हों तो अगर्चे वह चाँदी ही की हो मर्द के लिये ना'जाइज़ है।(रद्दुलमुहतार) इसी तरह मर्दों के लिये एक से ज़्यादा अंगूठी पहनना या छल्ले पहनना भी ना'जाइज़ है कि यह अंगूठी नहीं। औरतें छल्ले पहन सकती हैं।

मसअ्ला.29:– हिलते हुए दांतों को सोने के तार से बन्धवाना जाइज़ है। और अगर किसी की नाक कटगई तो सोने की नाक बनवाकर लगा सकता है उन दोनों सूरतों में ज़रूरत की वजह से सोने को जाइज़ कहा गया क्योंकि चाँदी के तार से दांत बांधे जायें या चाँदी की नाक लगाई जाये तो उसमें तअ़फ़्फ़ुन (बदबू) पैदा होगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.30:– दांत गिरगया उसी दांत को सोने या चाँदी के तार से बन्धवा सकता है दूसरे शख़्स का दांत अपने मुँह में नहीं लगा सकता।(आलमगीरी)

मसअ्ला.31:– लड़कों को सोने चाँदी के ज़ेवर पहनाना हराम हैं और जिसने पहनाया वह गुनहगार होगा उसी तरह बच्चों के हाथ पाँवों में बिला ज़रूरत मेंहदी लगाना ना'जाइज़ है औरत ख़ुद अपने हाथ पाँवों में लगा सकती है मगर लड़के को लगायेगी तो गुनहगार होगी।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

बर्तन छुपाने और सोने के वक़्त के आदाब

हदीस (1) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब रात की इब्तिदाई तारीकी आजाये या यह फ़रमाया कि "जब शाम होजाये तो बच्चों को समेटलो कि उस वक़्त शयातीन मुन्तशिर होते हैं फिर जब एक घड़ी रात चली जाये अब उन्हें छोड़दो और बिस्मिल्लाह कहकर दरवाज़े बन्द करलो कि इस तरह जब दरवाज़ा बन्द किया जाये तो शैतान नहीं खोल सकता और बिस्मिल्लाह कहकर मश्कों के दहाने बाँधो और बिस्मिल्लाह पढ़कर बर्तनों को ढांकदो, ढांकी नहीं तो यही करो कि उसपर काई चीज़ आड़ी करके रखदो और चिराग़ों को बुझादो और सहीह बुख़ारी की एक रिवायत में है कि बर्तन छुपादो और मश्कों के मुंह बन्द करदो और दरवाज़े भेड़दो और बच्चों को समेटलो शाम के वक़्त क्योंकि उस वक़्त जिन्न मुन्तशिर होते हैं और उचक लेते हैं सोते वक़्त चिराग़ बुझादो कि कभी चूहा बत्ती घसीट लेजाता है और घर जल जाता है मुस्लिम की एक रिवायत में है बर्तन छुपादो और मश्क का मुँह बांधदो और दरवाजे बन्द करदो और चिराग़ बुझादो कि शैतान मश्क को नहीं खोलेगा और न दरवाज़ा और बर्तन खोलेगा अगर कुछ न मिले तो बिस्मिल्लाह कहकर एक लकड़ी आड़ी करके रखदे और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि साल में एक रात ऐसी आती है कि उसमें वबा उतरती है जो बर्तन छुपा हुआ नहीं है या मश्क का मुँह बंधा हुआ नहीं है अगर वहाँ से वह वबा गुज़रती है तो उस में उतरती है।

हदीस (2) इमाम अहमद व मुस्लिम व अबूदाऊद ने जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब आफ़ताब डूब जाये तो जब तक इशा की स्याही जाती न रहे अपने चोपायों और बच्चों को न छोड़ो क्योंकि उस वक़्त शयातीन मुन्तशिर होते हैं।

हदीस (3) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "सोते वक़्त अपने घरों में आग मत छोड़ा करो"।

हदीस (4) सहीह बुख़ारी में अबूमूसा अश्अरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि मदीने में एक मकान रात में जल गया हुज़ूर ने फ़रमाया कि यह आग तुम्हारी दुश्मन है जब सोया करो तो बुझा दिया करो।

हदीस (5) शरहुस्सुन्ना में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब रात में कुत्ते का भोंकना और गधे की आवाज़ सुनों तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ो कि वह उस चीज़ को देखते हैं जिसको तुम नहीं देखते और जब पहचल बन्द होजायें तो घर से कम निकलो कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल रात में अपनी मख़लूक़ात में से जिसको चाहता है ज़मीन पर मुन्तशिर करता है।

बैठने और सोने और चलने के आदाब

क़ुर्आन मजीद में इरशाद है

﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ﴾

(लुक़्मान ने बेटे से कहा) "किसी से बात करने में अपना रूख़्सारा टेढ़ा न करो और ज़मीन में इतराता न चल बेशक अल्लाह को पसन्द नहीं है कोई इतराने वाला फ़ख़्र करने वाला और म्याना चाल चल और अपनी आवाज़ पस्त कर बेशक सब आवाज़ों में बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ है"।

और फ़रमाता है

﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا﴾

"और ज़मीन में इतराता न चल बेशक तू हरगिज़ न तो ज़मीन चीर डालेगा और न तो बलन्दी में पहाड़ों को पहुँचेगा"।

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا وَّالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا﴾

''और रहमान के बन्दे वह हैं जो जमीन पर आहिस्ता चलते हैं जाहिल जब उनसे मुखातबा करते हैं तो कहते हैं सलाम और वह जो अपने रब के लिये सजदा और कयाम में रात गुजारते हैं''।

और फ़रमाता है ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾

''ऐ ईमान वालों जब तुम से कहा जाये मज्लिसों में जगह देदो अल्लाह तुमको जगह देगा और जब कहा जाये उठ खड़े हो, तो उठ खड़े हो अल्लाह तआ़ला तुम में ईमान वालों और इल्म वालों को दर्जों बलन्द करेगा''।

हदीस् (1) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''ऐसा न करे कि एक शख़्स दूसरे को उस की जगह से उठाकर खुद बैठ जाये व लेकिन हट जाया करो और जगह कुशादा करदिया करो''। यअ़्नी बैठने वालों को यह चाहिए कि आने वाले के लिये सरक जायें और जगह देदें कि वह भी बैठ जायें या यह कि आने वाला किसी को न उठाये बल्कि उनसे कहे कि सरक जाओ मुझे भी जगह देदो। सहीह बुख़ारी में यह भी मज़कूर है कि इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा इसे मकरूह जानते थे कि कोई शख़्स अपनी जगह से उठ जाये और यह उसकी जगह पर बैठें। हज़रत इब्ने उमर का यह फ़ेअ़्ल कमाले वरअ़् से था कि कहीं ऐसा न हो कि उसका जी न चाहता हो और महज़ उनकी ख़ातिर से जगह छोड़दी हो।

हदीस् (2) अबूदाऊद ने सईद अबिल'हसन से रिवायत की कहते हैं कि अबू'बक्र रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु हमारे पास एक शहादत में आये एक शख़्स उनके लिये अपनी जगह से उठ गया उन्होंने उस जगह बैठने से इन्कार किया और यह कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने उस से मनअ़् फ़रमाया है और हुज़ूर ने उससे भी मनअ़् फ़रमाया है कि कोई शख़्स ऐसे शख़्स के कपड़े से हाथ पोंछे जिसको यह कपड़ा पहनाया नहीं है। इस हदीस् में भी अगर्चे यह नहीं है कि अबू'बक्र रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने उस शख़्स को उसकी जगह से उठाया हो बल्कि वह शख़्स खुद उठ गया था और ब'ज़ाहिर यह सूरत मुमानअ़त की नहीं मगर यह कमाले एह्तियात है कि उन्होंने उस सूरत में भी बैठना गवारा न किया कि अगर्चे उठने को कहा नहीं मगर उठना चूंकि उन्हीं के लिये हुआ लिहाज़ा यह ख़याल किया कि कहीं यह भी उठाने ही के हुक्म में न हो।

हदीस् (3) सहीह मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''जो शख़्स अपनी जगह से उठकर गया फिर आगया तो उस जगह का वही हक़दार है'' यानी ज़ल्द आजाये।

हदीस् (4) अबूदाऊद ने अबूदर्दा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जब बैठते और हम लोग हुज़ूर के पास बैठते और उठकर तशरीफ़ लेजाते मगर वापसी का इरादा होता तो नअ़्लैन मुबारक या कोई चीज़ वहाँ छोड़ जाते उस से सहाबा को यह पता चला कि हुज़ूर तशरीफ़ लायेंगे और सब लोग ठहरे रहते।

हदीस् (5) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि किसी को यह हलाल नहीं कि दो शख़्सों के दरम्यान जुदाई करदे (यानी दोनों के दरम्यान में बैठ जाये) मगर उनकी इजाज़त से।

हदीस् (6) बैहकी ने शोअ़्बुल ईमान में वासिला इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि एक शख़्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और हुज़ूर मस्जिद में तशरीफ़ फ़रमा थे उस के लिये हुज़ूर अपनी जगह से सरक गये उसने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह जगह कुशादा मौजूद है। (हुज़ूर को सरकने और तकलीफ़ फ़रमाने की ज़रूरत नहीं) इरशाद फ़रमाया 'मुस्लिम का यह हक़ है कि जब उसका भाई उसे देखे उसके लिये सरक जाये'।

हदीस् (7) रज़ीन ने अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जब मस्जिद में बैठते दोनों हाथों से एह्तिबा करते। **एह्तिबा** की सूरत यह है कि आदमी सुरीन को ज़मीन पर रखदे और घुटने खड़े करके दोनों हाथों से घेरले और एक हाथ को दूसरे से पकड़ ले इस क़िस्म का बैठना तवाज़ोअ़ और इन्किसार में शुमार होता है।

ह़दीस् (8) अबूदाऊद ने जाबिर इब्ने समुरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं कि नबी करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जब नमाज़े फ़ज्र पढ़ लेते चार ज़ानूं बैठे रहते यहाँ तक कि आफ़ताब अच्छी त़रह तुलूअ़ होजाता।

ह़दीस् (9) अबू दाऊद ने अबूहुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब कोई शख़्स़ साये में हो और साया सिमट गया कुछ साया में होगया कुछ धूप में तो वहाँ से उठ जाये"।

ह़दीस् (10) अबूदाऊद ने अ़म्र बिन शरीद रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से वह अपने वालिद से रिवायत करते हैं कहते हैं मैं इस त़रह बैठा हुआ था कि बायें हाथ को पीठ के पीछे करलिया और दाहिने हाथ की हथेली की गद्दी लगाई रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे और यह फ़रमाया "क्या तुम उन लोगों की त़रह बैठते हो जिसपर खु़दा का ग़ज़ब है"।

ह़दीस् (11) अबूदाऊद ने जाबिर समुरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं कि जब हम नबी करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होते तो वहाँ बैठ जाते जहाँ मज्लिस ख़त्म होती यानी मज्लिस के किनारे पर बैठते उसे चीर कर अन्दर नहीं घुसते।

ह़दीस् (12) तिबरानी ने अबू मूसा अशअ़री रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब कोई शख़्स़ किसी क़ौम के पास आये और उसकी खुश्नूदी के लिये वह लोग जगह में वुस्अ़त करें तो अल्लाह पर ह़क़ है कि उनको राज़ी करे"।

ह़दीस् (13) अबूदाऊद ने अबू हुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम नै फ़रमाया चन्द कलिमात हैं कि जो शख़्स़ मज्लिस से फ़ारिग़ होकर उनको तीन मरतबा कह लेगा अल्लाह तआ़ला उसके गुनाह मिटा देगा और जो शख़्स़ मज्लिसे ख़ैर व मज्लिसे ज़िक्र में उनको कहेगा तो अल्लाह तआ़ला उनको उस ख़ैर पर मुहर कर देगा जिस त़रह कोई शख़्स़ अंगूठी से मुहर करता है वह यह हैं।

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ.

ह़दीस् (14) हाकिम ने मुस्तदरक में अबूहुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो लोग देर तक किसी जगह बैठें और बिग़ैर ज़िक्रूल्लाह और नबी करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े वहाँ से मुतफ़र्रिक़ होगये उन्होंने नुक़सान किया अगर अल्लाह चाहे अ़ज़ाब दे और चाहे तो बख़्शदे।

ह़दीस् (15) बज़ार ने अनस रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब बैठो जूते उतारलो तुम्हारे क़दम आराम पायेंगे।

ह़दीस् (16) स़ह़ीह़ मुस्लिम में जाबिर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने पाँव पर पाँव रखने से मनअ़ फ़रमाया है जब कि चित लेटा हो।

ह़दीस् (17) स़ह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिन में इबाद बिन तमीम से रिवायत है वह अपने चचा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को मस्जिद में लेटे हुए मैंने देखा हुज़ूर ने एक पाँव को दूसरे पर रखा था। यह बयाने जवाज़ के लिये है और उस सूरत में कि सित्र खुलने का अन्देशा न हो और पहली ह़दीस् उस सूरत में है कि सित्र खुलने का अन्देशा हो मस्लन आदमी तहबन्द पहने हो और चित लेट कर एक पाँव खड़ा करके उसपर दूसरे को रखे तो सित्र खुलने का अन्देशा होता है और अगर पाँव फैलाकर एक को दूसरे पर रखे तो इस सूरत में खुलने का अन्देशा नहीं होता।

हदीस् (18) शरह सुन्ना में है कि अबू क़तादा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब रात में मन्ज़िल में उतरते तो दाहिनी करवट पर लेटते और जब सुबह से कुछ ही पहले उतरते तो दाहिने हाथ को खड़ा करते और उस की हथेली पर सर रख कर लेटते।

हदीस् (19) तिर्मिज़ी ने जाबिर इब्ने समुरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बायें करवट पर तकिया लगाये हुए देखा।

हदीस् (20) तिर्मिज़ी ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक शख़्स को पेट के बल लेटे हुए देखा फ़रमाया इस तरह लेटने को अल्लाह पसन्द नहीं करता।

हदीस् (21) अबूदाऊद व इब्नें माजा ने तुख़्फ़ा ग़फ़्फ़ारी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की (यह असहाबे सुफ़्फ़ा में से थे) कहते हैं सीने की बीमारी की वजह से मैं पेट के बल लेटा हुआ था कि अचानक कोई शख़्स पाँव से मुझे हरकत देता है और यह कहता है कि इस तरह लेटने को अल्लाह तआला मबग़ूज़ रखता है मैंने देखा तो वह रसूलुल्ला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम थे।

हदीस् (22) इब्ने माजा ने अबूज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं मैं पेट के बल लेटा हुआ था रसूलुल्लाह सल्ललाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे और पाँव से ठोकर मारी और फ़रमाया ऐ जुन्दुब (यह हज़रत अबूज़र का नाम है) यह जहन्नमियों के लेटने का तरीक़ा है यानी इस तरह काफ़िर लेटते हैं या यह कि जहन्नमी जहन्नम में इस तरह लेटेंगे।

हदीस् (23) अबूदाऊद ने अली इब्ने शैबान रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स ऐसी छत पर रात में रहे जिस पर रोक नहीं है दीवार या मुन्डेर नहीं है उससे ज़िम्मा बरी है" यानी अगर रात में छत से गिर जाये तो उसका ज़िम्मेदार वह खुद है।

हदीस् (24) तिर्मिज़ी ने जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस छत पर सोने से मनअ् फ़रमाया है जिस पर रोक न हो।

हदीस् (25) अबू'यअ्ला ने हज़रत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स अस्र के बाद सोये और उस की अक़्ल जाती रहे तो वह अपने ही को मलामत करे"।

हदीस् (26) इमाम अहमद ने इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तन्हाई से मनअ् फ़रमाया यानी उससे कि आदमी तन्हा सोये।

हदीस् (27) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया एक शख़्स दो चादर ओढ़े हुए इतराकर चल रहा था और घमन्ड में था वह ज़मीन में धंसा दिया गया वह क़ियामत तक धंसता ही जायेगा।

हदीस् (28) अबूदाऊद ने इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मर्द को दो औरतों के दरम्यान में चलने से मनअ् फ़रमाया।

हदीस् (29) बैहक़ी ने शोअ़बुल'ईमान में इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "ज़ब तुम्हारे सामने औरतें आजायें तो उनके दरमियान में न गुज़रे दाहिने या बायें का रास्ता लेलो।

मसअला.1:– क़ैलूला (दोपहर में थोड़ी देर आराम करना) करना जाइज़ बल्कि मुस्तहब है (आलमगीरी) ग़ालिबन यह उन लोगों के लिये होगा जो शब'बेदारी करते हैं रात में नमाज़ें पढ़ते ज़िक्रे इलाही करते हैं या कुतुब बीनी या मुतालअ् में मशग़ूल रहते हैं कि शब'बेदारी में जो तकान हुआ क़ैलूला से दफ़अ् होजायेगा।

मसअला.2:– दिन के इब्तिदाई हिस्से में सोना या मग़्रिब व इशा के दरम्यान में सोना मकरूह है

सोने में मुस्तहब यह है कि बा'तहारत सोये और कुछ देर दहनी करवट पर दाहिने हाथ को रुख़सारा के नीचे रखकर किब्ला रू सोये फिर उसके बाद बाईं करवट पर और सोते वक़्त क़ब्र में सोने को याद करे कि वहाँ तन्हा सोना होगा सिवा अपने आमाल के कोई साथ न होगा। सोते वक़्त यादे ख़ुदा में मशग़ूल हो तहलील व तस्बीह व तहमीद पढ़े यहाँ तक कि सो जाये कि जिस हालत पर इन्सान होता है उसी पर उठता है जिस हालत पर मरता है क़ियामत के दिन उसी पर उठेगा सोकर सुबह से पहले ही उठ जाये और उठते ही यादे ख़ुदा करे यह पढ़े।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْیَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَیْهِ النُّشُوْرُ

तर्जमा:—"तमाम तारीफ़ें अल्लाह तआला के लिये जिसने हमें मौत (नींद) के बाद जिन्दगी दी और (क़ियामत के दिन) उसी की तरफ़ उठना है"।

उसी वक़्त उसका पक्का इरादा करे कि परहेज़गारी व तक़वा करेगा किसी को सतायेगा नहीं आलमगीरी

मसअ्ला.2:— बाद नमाज़े इशा बातें करने की तीन सूरते हैं **अव्वल** इल्मी गुफ़्तगू किसी से मसअ्ला पूछना या उसका जवाब देना या उसकी तहक़ीक़ व तफ़तीश करना उसी क़िस्म की गुफ़्तगू सोने से अफ़ज़ल है **दोम** झूटे क़िस्से कहानी कहना मसख़रा'पन और हँसी, मज़ाक़ की बातें करना यह मकरूह है **सोम** मुवानिसत की बात चीत करना जैसे मियाँ बीवी में या मेहमान से उसके उन्स के लिये कलाम करना यह जाइज़ है इस क़िस्म की बातें करे तो आख़िर में ज़िक्रे इलाही में मशग़ूल हो जाये और तस्बीह व इस्तिग़फ़ार पर कलाम का ख़ातिमा होना चाहिए।

मसअ्ला.3:— दो मर्द बरहना एक ही कपड़े को ओढ़कर लेटें यह नाजाइज़ है अगर्चे बिछौने के एक किनारे पर एक लेटा हुआ हो और दूसरे किनारे पर दूसरा हो इसी तरह दो औरतों का बरहना होकर एक कपड़े को ओढ़कर लेटना भी ना'जाइज़ है। हदीस में उस की मुमानअत आई है।

मसअ्ला.4:— जब लड़के और लड़की की उम्र दस साल की होजाये तो उनको अलग अलग सुलाना चाहिए यअ्नी लड़का जब इतना बड़ा होजाये अपनी माँ या बहन या किसी औरत के साथ न सोये सिर्फ़ अपनी ज़ौजा या बाँदी के साथ सो सकता है बल्कि इस उम्र का लड़का इतने बड़े लड़कों या मर्दों के साथ भी न सोये। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.5:— मियाँ, बीवी जब एक चार'पाई पर सोयें तो दस बरस के बच्चे को अपने साथ न सुलायें लड़का जब हद्दे शहवत को पहुँच जाये तो वह मर्द के हुक्म में है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:— रास्ता छोड़कर किसी की ज़मीन में चलने का हक़ नहीं। और अगर वहाँ रास्ता नहीं है तो चल सकता है। मगर जबकि मालिके ज़मीन मनअ् करे तो अब नहीं चल सकता यह हुक्म एक शख़्स के मुतअल्लिक़ है और जो बहुत से लोग हों तो जब तक मालिक ज़मीन राज़ी न हो नहीं चलना चाहिए। रास्ते में पानी है उसके किनारे किसी की ज़मीन है ऐसी सूरत में उस ज़मीन में चल सकता है। (आलमगीरी) बाज़ मरतबा खेत बोया होता है ज़ाहिर है कि उसमें चलना काश्तकार के नुक़सान का सबब है ऐसी सूरत में हरगिज़ उसमें चलना न चाहिए बल्कि बाज़ मरतबा काश्तकार खेत के किनारे पर जहाँ से चलने का एहतिमाल होता है काँटे रख देते हैं यह साफ़ उसकी दलील है कि उसकी जानिब से चलने की मुमानअत है मगर उसपर भी बाज़ लोग तवज्जोह नहीं करते उन को जानना चाहिए कि इस सूरत में चलना मनअ् है।

देखने और छूने का बयाना

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फ़रमाता है।

﴿قُلْ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ یَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ یَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِیْرٌۢ بِمَا یَصْنَعُوْنَ ☆ وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ یَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا یُبْدِیْنَ زِیْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُیُوْبِهِنَّ ۪ وَ لَا یُبْدِیْنَ زِیْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآىٕهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآىٕهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِیْۤ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِیْۤ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآىٕهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِیْنَ غَیْرِ اُولِی الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِیْنَ لَمْ یَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۪ وَ لَا یَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِیْنَ مِنْ زِیْنَتِهِنَّ ؕ وَ تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ جَمِیْعًا اَیُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾.

"मुसलमान मर्दों से फ़रमादो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें यह उनके लिये बहुत सुथरा है बेशक अल्लाह को उनके कामों की खबर है और मुसलमान औरतों को हुक्म दो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करें और अपना बनाव न दिखायें मगर जितना खुद ही जाहिर है और दोपट्टे अपने गिरेबानों पर डाले रहें और अपना सिंगार जाहिर न करें मगर अपने शौहरों पर या अपने बाप या शौहरों के बाप या अपने बेटे या शौहरों के बेटे या अपने भाई या अपने भतीजे या अपने भान्जे या अपने दीन की औरतें या अपनी कनीजें जो अपने हाथ की मिल्क हों या नौकर बशर्ते कि शहवत वाले मर्द न हों या वह बच्चे जिन्हें औरतों की शर्म की चीजों की खबर नहीं और ज़मीन पर पाँव न मारें जिससे उनका छुपा हुआ श्रृंगार मअ़लूम होजाये और अल्लाह की तरफ तौबा करो ऐ मुसलमानो! सब के सब इस उम्मीद पर कि फ़लाह पाओ"।

और फ़रमाता है।

﴿يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا﴾

"ऐ नबी अपनी अज़वाज और साहबजादों और मोमिनों की औरतों से फरमादो कि अपने ऊपर अपनी ओढनियाँ लटकालें इस से वह पहचानी जायेंगी और उनको ईज़ा नहीं दीजायेगी और अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है"।

और फ़रमाता है।

﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۢ بِزِيْنَةٍ ؕ وَ اَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ﴾

"और बूढ़ी ख़ाना नशीन औरतें जिन्हें निकाह की आरजू नहीं उनपर कुछ गुनाह नहीं कि अपने बालाई कपडे उतार रखें जबकि श्रृंगार ज़ाहिर न करें। और उससे बचना उनके लिए बेहतर है अल्लाह सुनता जानता है"।

हदीस (1) सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "औरत शैतान की सूरत में आगे आती है और शैतान की सूरत में पीछे जाती है जब किसी ने कोई औरत देखी और वह पसन्द आगई और उसके दिल में कुछ वाकेअ़ हो तो अपनी औरत से जिमाअ़ करे उससे वह बात जाती रहेगी जो दिल में पैदा होगई है"।

हदीस (2) दारमी ने अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिसने किसी औरत को देखा और वह पसन्द आई तो अपनी ज़ौजा के पास चला जाये कि उसके पास भी वैसी ही चीज़ है जो उसके पास है"।

हदीस (3) सहीह मुस्लिम में जरीर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अचानक नज़र पड़ जाने के मुतअ़ल्लिक दरयाफ़्त किया हुज़ूर ने हुक्म दिया कि अपनी निगाह फेरलो।

हदीस (4) इमाम अहमद व अबूदाऊद व तिर्मिज़ी व दारमी ने बरीदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से फ़रमाया कि एक नज़र के बाद दूसरी नज़र न करो (यानी अगर अचानक बिलाकस्द किसी औरत पर नजर पड जाये तो फ़ौरन नज़र हटाले और दोबारा नज़र न करे) कि पहली नज़र जाइज़ है दूसरी नज़र जाइज़ नहीं।

हदीस (5) तिर्मिज़ी ने अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "औरत औरत है यानी छुपाने की चीज़ है जब वह निकलती है तो उसे शैतान झांक कर देखता है" यानी उसे देखना शैतानी काम है।

हदीस (6) इमाम अहमद ने अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो मुसलमान किसी औरत की खूबियों की तरफ़ पहली दफ़आ नज़र करे यानी बिला क़स्द फिर अपनी आँख मीच ले अल्लाह तआला उसके लिये ऐसी इबादत पैदा करदेगा जिसका मज़ा उसको मिलेगा"।

हदीस (7) बैहकी ने हसन बसरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं मुझे यह ख़बर पहुँची कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "देखने वाले पर और उस पर जिस की तरफ़ नज़र की गई अल्लाह की लअ़नत यानी देखने वाला जब बिलाउज़्र क़स्दन देखे और दूसरा अपने को बिला उज़्र क़स्दन दिखाये।

हदीस् (8) इब्ने माजा ने आयशा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की कहती हैं मैंने हुज़ूर की शर्मगाह की तरफ़ कभी नज़र नहीं की।

हदीस् (9) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व इब्ने माजा ब'रिवायत बहज़ बिन हकीम अ़न अबीहि अ़न जद्देही रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया अपनी औरत यानी सित्र की जगह को महफ़ूज़ रखो मगर बीवी से या उस बाँदी से जिसके तुम मालिक हो मैंने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह यह फ़रमाईये कि अगर मर्द तन्हाई में हो इरशाद फ़रमाया "अल्लाह तआ़ला से शर्म करना ज़्यादा सज़ावार है"।

हदीस् (10) तिर्मिज़ी ने हज़रत उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब मर्द औरत के साथ तन्हाई में होता है तो तीसरा शैतान होता है"।

हदीस् (11) तिर्मिज़ी ने जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिन औरतों के शौहर ग़ाइब हैं उनके पास न जाओ कि शैतान तुम में ख़ून की तरह तैरता है यानी शैतान को बहकाते देर नहीं लगती" हमने अ़र्ज़ की और हुज़ूर से या रसूलल्लाह फ़रमाया "मुझ से भी मगर अल्लाह ने मेरी उस के मुक़ाबिल में मदद फ़रमाई वह मुसलमान होगया या मैं सलामत रहता हूँ"। हदीस् के लफ़्ज़ में दोनों मअ़्ना होसकते हैं।

हदीस् (12) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में उ़क़्बा बिन आ़मिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वल्लम ने फ़रमाया "औरतों के पास जाने से बचो! एक शख़्स ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह देवर के मुतअ़ल्लिक़ क्या हुक्म है फ़रमाया कि देवर मौत है यानी देवर के सामने होना गोया मौत का सामना है यहाँ फ़ितने का ज़्यादा एहतिमाल (शक) है"।

हदीस् (13) तिर्मिज़ी ने इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "बरहना होने से बचो क्योंकि तुम्हारे साथ (फ़िरिश्ते) होते हैं जो जुदा नहीं होते मगर सिर्फ़ पाख़ाना के वक़्त और उस वक़्त जब मर्द अपनी औरत के पास जाता है लिहाज़ा उनसे हया करो और उनका इकराम करो"।

हदीस् (14) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने जरहद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "क्या तुम्हें मअ़्लूम नहीं कि रान औरत है" यानी छुपाने की चीज़ है।

हदीस् (15) अबूदाऊद व इब्ने माजा ने हज़रत अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया कि 'ऐ अ़ली रान को न खोलो और न ज़िन्दा की रान की तरफ़ नज़र करो न मुर्दा की'।

हदीस् (16) सहीह मुस्लिम में अबूसईद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "एक मर्द दूसरे मर्द की सित्र की जगह न देखे और न औरत दूसरी औरत की सित्र की जगह देखे और न मर्द दूसरे मर्द के साथ एक कपड़े में बरहना सोये और न औरत दूसरी औरत के साथ एक कपड़े में बरहना सोये"।

हदीस् (17) इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की कि यह और हज़रत मैमूना रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर थीं कि अ़ब्दुल्लाह बिन उम्मे मकतूम रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु आये हुज़ूर ने उन दोनों से फ़रमाया कि पर्दा करलो कहती हैं मैंने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह वह नाबीना हैं हमें नहीं देखेंगे। हुज़ूर ने फ़रमाया क्या तुम दोनों अन्धी हो क्या तुम उन्हें नहीं देखोगी।

हदीस् (18) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊ़द रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "ऐसा न हो कि एक औरत दूसरी औरत के साथ रहे फिर अपने शौहर के साथ उसका हाल बयान करे गोया यह उसे देख रहा है"।

हदीस् (19) सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "ख़बरदार कोई मर्द सय्यिब औरत के यहाँ रात को न रहे मगर उस सूरत में कि उससे निकाह करने वाला हो या उस का ज़ी'महरम हो"।

हदीस् (20) सहीह मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि एक शख़्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में यह अर्ज़ की कि अन्सारिया औरत से निकाह का मेरा इरादा है हुज़ूर ने फ़रमाया "उसे देखलो क्योंकि अन्सार की आँखों में कुछ है" यानी उनकी आँखें कुछ भूरी होती हैं।

हदीस् (21) इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व निसाई व इब्ने माजा व दारमी ने मुग़ीरा इब्ने शोअ्बा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने एक औरत को निकाह का पैग़ाम दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझ से फ़रमाया कि तुमने उसे देख लिया है अर्ज़ की नहीं फ़रमाया उसे देखलो कि उसकी वजह से तुम दोनों के दरम्यान मुवाफ़क़त होने का पहलू ग़ालिब है।

मसाइले फ़िक़्हिया

इस बाब के मसाइल चार क़िस्म के हैं मर्द का मर्द को देखना, औरत का औरत को देखना, औरत का मर्द को देखना, मर्द का औरत को देखना, मर्द मर्द के हर हिस्सा–ए–बदन की तरफ़ नज़र कर सकता है सिवा उन अअ्ज़ा के जिनका सित्र ज़रूरी है वह नाफ़ के नीचे से घुटने के नीचे तक है कि उस हिस्सा–ए–बदन का छुपाना फ़र्ज़ है जिन अअ्ज़ा का छुपाना ज़रूरी है उनको औरत कहते हैं किसी को घुटना खोले हुए देखे तो उसे मनअ् करे और रान खोले हुए देखे तो सख़्ती से मनअ् करे और शर्मगाह खोले हुए हो तो उसे सज़ा दीजायेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.1:– बहुत छोटे बच्चे के लिये औरत नहीं उसके बदन के किसी हिस्से का छुपाना फ़र्ज़ नहीं फिर जब कुछ बड़ा होगया तो उसके आगे पीछे का मक़ाम छुपाना ज़रूरी है फिर जब और बड़ा हो जाये दस बरस से ज़्यादा का होजाये तो उसके लिये बालिग़ का सा हुक्म है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.2:– जिस हिस्सा–ए–बदन की तरफ़ नज़र कर सकता है उसको छू भी सकता है। (हिदाया)

मसअ्ला.3:– लड़का जब मुराहिक़ (यानी बालिग़ होने के क़रीब) होजाये और वह ख़ुबसूरत न हो तो नज़र के बारे में उसका वही हुक्म है जो मर्द का है और ख़ुबसूरत हो तो औरत का जो हुक्म है वह उसके लिये है यानी शहवत के साथ उसकी तरफ़ नज़र करना हराम है और शहवत न हो तो उसकी तरफ़ भी नज़र कर सकता है। और उसके साथ तन्हाई भी जाइज़ है। शहवत न होने का मतलब यह है कि उसे यक़ीन हो कि नज़र करने से शहवत न होगी और अगर उसका शुबह भी हो तो हरगिज़ नज़र न करे। बोसे की ख़्वाहिश पैदा होना भी शहवत की हद्द में दाख़िल है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.4:– औरत का औरत को देखना उसका वही हुक्म है जो मर्द की तरफ़ नज़र करने का है यानी नाफ़ के नीचे से घुटने तक नहीं देख सकती बाक़ी अअ्ज़ा की तरफ़ नज़र कर सकती है बशर्ते कि शहवत का अन्देशा न हो। (हिदाया)

मसअ्ला.5:– औरत सालिहा को यह चाहिए कि अपने को बदकार औरत के देखने से बचाये यानी उसके सामने दोपट्टा वग़ैरा न उतारे क्योंकि वह उसे देखकर मर्दों के सामने उसकी शकल व सूरत का ज़िक्र करेगी मुसलमान औरत को यह भी हलाल नहीं कि काफ़िरा के सामने अपना सित्र खोले (आलमगीरी) घरों में काफ़िरा औरतें आती हैं और बीबियाँ उनके सामने उसी तरह मवाज़ेअ् सत्र खोले हुए होती हैं जिस तरह मुस्लिमा के सामने रहती हैं, उनको इससे इज्तिनाब लाज़िम है अकसर जगह दाईयाँ काफ़िरा होती हैं और वह बच्चा जनाने की ख़िदमत अन्जाम देती हैं अगर मुसलमान दाईयाँ मिल सकें तो काफ़िरा से हरगिज़ यह काम न कराया जाये कि काफ़िरा के सामने उन अअ्ज़ा के खोलने की इजाज़त नहीं।

मसअ्ला.6:– औरत का मर्द अजनबी की तरफ़ नज़र करने का वही हुक्म है जो मर्द का मर्द की तरफ़

नज़र करने का है और यह उस वक़्त है कि औरत को यकीन के साथ मालूम हो कि उस की तरफ नज़र करने से शहवत नहीं पैदा होगी और अगर उसका शुबह भी हो तो हरगिज़ नज़र न करे। (आलमगीरी)
मसअ्ला.7:– औरत मर्द अजनबी के जिस्म को हरगिज़ न छूये जबकि दोनों में से कोई भी जवान हो, उसको शहवत होसकती हो अगर्चे इस बात का दोनों को इत्मिनान हो कि शहवत नहीं पैदा होगी।(आलमगीरी) बाज़ जवान औरतें अपने पीरों के हाथ पाँव दबाती हैं और बाज़ पीर अपनी मुरीदा से हाथ पाँव दबवाते हैं और उनमें अकसर दोनों या एक हद्दे शवहत में होता है ऐसा करना नाजाइज़ है और दोनों गुनहगार हैं।
मसअ्ला.8:– मर्द का औरत को देखना उसकी कई सूरतें हैं मर्द का अपनी ज़ौजा या बाँदी को देखना, मर्द का अपने मुहारिम की तरफ़ नज़र करना, मर्द का आज़ाद औरत अजनबिया को देखना, मर्द का दूसरे की बाँदी को देखना पहली सूरत का हुक्म यह है कि औरत की एडी से चोटी तक हर अज्व की तरफ़ नज़र कर सकता है शहवत और बिला शहवत दोनों सूरतों में देख सकता है उसी तरह यह दोनों किस्म की औरतें उस मर्द के हर अज़्व को देख सकती हैं हाँ बेहतर यह है कि मकामे मख़्सूस की तरफ़ नज़र न करे क्योंकि उससे निस्यान पैदा होता है नज़र में भी ज़ोअ्फ़ पैदा होता है। उस मसअ्ला में बाँदी से मुराद वह है जिससे वती जाइज़ है। (आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)
मसअ्ला.9:– जिस बाँदी से वती न कर सकता हो मसलन वह मुश्रिका है या मुकातिबा या मुश्रिका या रज़ाअ़त या मुसाहिरत की वजह से उससे वती हराम हो वह अजनबिया के हुक्म में हैं। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.10:– ज़ौजा और उस बाँदी के हर अ़ज्व को भी छू सकता है। (आलमगीरी)
मसअ्ला.11:– जिमाअ् के वक़्त दोनों बिलकुल बरहना भी हो सकते हैं जबकि वह मकान बहुत छोटा दस पाँच हाथ का हो। (आलमगीरी)
मसअ्ला.12:– मियाँ बीवी जब बिछौने पर हों मगर जिमाअ् में मशगूल न हों उस हालत में उनके मुहारिम वहाँ इजाज़त लेकर आ सकते हैं बिग़ैर इजाजत नहीं आ सकते इसी तरह ख़ादिम यानी गुलाम और बाँदी भी आसकती है। (आलमगीरी)
मसअ्ला.13:– बाँदी का हाथ पकड़कर मकान के अन्दर लेगया और दरवाज़ा बन्द करलिया और लोगों को मालूम होगया कि वती करने के लिये ऐसा किया है यह मकरूह है यूंही सौत के सामने बीवी से वती करना मकरूह है। (आलमगीरी)
मसअ्ला.14:– जो औरत उसके मुहारिम में हो उसके सर, सीना, पिन्डली, बाज़ू, कलाई, गर्दन, कदम की तरफ़ नज़र कर सकता है जबकि दोनों में से किसी की शहवत का अन्देशा न हो मुहारिम के पेट, पीठ और रान की तरफ़ नज़र करना नाजाइज़ है। (हिदाया) इसी तरह करवट और घुटने की तरफ़ नज़र करना भी नाजाइज़ है।(रद्दुलमोहतार) कान और गर्दन और शाना और चेहरा की तरफ़ नज़र करना जाइज़ है। (आलमगीरी)
मसअ्ला.15:– मुहारिम से मुराद वह औरतें हैं जिससे हमेशा के लिये निकाह हराम है यह हुरमत नसब से हो या सबब से मसलन रज़ाअ़त या मुसाहिरत अगर ज़िना की वजह से हुरमते मुसाहिरत हो जैसे मुज़्निया के उसूल व फ़ुरूअ् उनकी तरफ़ नज़र का भी वही हुक्म है। (हिदाया)
मसअ्ला.16:– मुहारिम के जिन अअ्ज़ा की तरफ़ नज़र कर सकता है उन को छू भी सकता है जबकि दोनों में से किसी की शहवत का अन्देशा न हो। मर्द अपनी वालिदा के पाँव दबा सकता है मगर रान उस वक़्त दबा सकता है जब कपड़े से छुपी हो यानी कपड़े के ऊपर से और बिग़ैर हाइल छूना जाइज़ नहीं। (आलमगीरी)
मसअ्ला.17:– वालिदा के क़दम को बोसा भी दे सकता है हदीस में है "जिसने अपनी वालिदा का पाँव चूमा तो ऐसा है जैसे जन्नत की चौखट को बोसा दिया"। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.18:– मुहारिम के साथ सफ़र करना या ख़लवत में उसके साथ होना यानी मकान में दोनों

का तन्हा होना कि कोई दूसरा न हो जाइज़ है बशर्ते कि शहवत का अन्देशा न हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.19:– दूसरे की बाँदी की तरफ़ नज़र करने का वही हुक्म है जो मुहारिम का है। मुदब्बरा और मुकातबा का भी यही हुक्म है। (हिदाया)

मसअ्ला.20:– कनीज़ को ख़रीदने का इरादा हो तो उसकी कलाई और बाज़ू और पिन्डली और सीने की तरफ़ नज़र कर सकता है क्योंकि इस हालत में देखने की ज़रूरत है और उसके उन अअ्ज़ा को छू भी सकता है बशर्ते कि शहवत का अन्देशा न हो। (हिदाया)

मसअ्ला.21:– अजनबी औरत की तरफ़ नज़र करने का हुक्म यह है कि उसके चेहरे और हथेली की तरफ़ नज़र करना जाइज़ है क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ती है कि कभी उसके मुवाफ़िक़ या मुख़ालिफ़ शहादत देनी होती है या फ़ैसला करना होता है अगर उसे न देखा हो तो क्योंकर गवाही दे सकता है कि उसने ऐसा किया है उसकी तरफ़ देखने में भी वही शर्त है कि शहवत का अन्देशा न हो और यूँ भी ज़रूरत है कि बहुतसी औरतें घर से बाहर आती जाती हैं लिहाज़ा इससे बचना बहुत दुश्वार है बाज़ उलमा ने क़दम की तरफ़ भी नज़र को जाइज़ कहा है। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.22:– अजनबी औरत के चेहरे और हथेली को देखना अगर्चे जाइज़ है मगर छूना जाइज़ नहीं अगर्चे शहवत का अन्देशा न हो क्योंकि नज़र के जवाज़ की वजह ज़रूरत और बलवा–ए–आम है छूने की ज़रूरत नहीं लिहाज़ा छूना हराम है इससे मालूम हुआ कि उनसे मुसाफ़ा जाइज़ नहीं इस लिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ब'वक़्ते बैअ़त भी औरतों से मुसाफ़ा न फ़रमाते सिर्फ़ ज़बान से बैअ़त लेते हाँ अगर वह बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो कि महल्ले शहवत न हो तो उससे मुसाफ़ा में हरज नहीं यूँ अगर मर्द बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो कि फ़ितने का अन्देशा ही न हो तो मुसाफ़ा कर सकता है। (हिदाया)

मसअ्ला.23:– बहुत छोटी लड़की जो मुश्तहात न हो उसको देखना भी जाइज़ है और छूना भी जाइज़है। (हिदाया)

मसअ्ला.24:– अजनबिया औरत ने किसी के यहाँ काम काज करने, रोटी पकाने की नौकरी की है उस सूरत में उसकी कलाई की तरफ़ नज़र जाइज़ है कि वह काम काज के लिए आस्तीन चढ़ायेगी कलाईयाँ उसकी खुलेंगी और जब उसके मकान में है तो क्योंकर बच सकेगा उसी तरह उसके दाँतों की तरफ़ नज़र करना भी जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.25:– अजनबिया औरत के चेहरे की तरफ़ अगर्चे नज़र जाइज़ है जबकि शहवत का अन्देशा न हो मगर यह ज़माना फ़ितने का है इस ज़माने में वैसे लोग कहाँ जैसे अगले ज़माना में थे लिहाज़ा इस ज़माने में उसको देखने की मुमानअ़त की जायेगी मगर गवाह व क़ाज़ी के लिये कि ब'वजहे ज़रूरत उनके लिये नज़र करना जाइज़ है और एक सूरत और भी है वह यह कि उस औरत से निकाह करने का इरादा हो तो इस नियत से देखना जाइज़ है कि हदीस् में यह आया कि जिससे निकाह करना चाहते हो उसको देखलो कि यह बक़ाए महब्बत (महब्बत बाक़ी रहने) का ज़रिआ होगा। उसी तरह औरत उस मर्द को जिसने उसके पास पैग़ाम भेजा है देख सकती है अगर्चे अन्देशा–ए–शहवत हो मगर देखने में दोनों की यही नियत हो कि हदीस् पर अमल करना चाहते हैं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.26:– जिस औरत से निकाह करना चाहता है अगर उस को देखना ना'मुमकिन हो जैसा कि इस ज़माने का रिवाज़ यह है कि अगर किसी ने निकाह का पैग़ाम देदिया तो किसी तरह भी उसे लड़की को नहीं देखने देंगे यानी उससे इतना ज़बर'दस्त पर्दा किया जाता है कि दूसरे से इतना पर्दा नहीं होता इस सूरत में उस शख़्स को यह चाहिए कि किसी औरत को भेजकर दिखवाले और वह आकर उसके सामने सारा हुल्या व नक़्शा वग़ैरा बयान करदे ताकि उसे उसकी शक्ल व सूरत के मुतअ़ल्लिक इत्मिनान होजाये। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.27:– जिस औरत से निकाह करना चाहता है उसकी एक लड़की भी है और मालूम हुआ

कि यह लड़की बिलकुल अपनी माँ की शक्ल व सूरत की है उस मक़सद से कि उसकी माँ से निकाह करना है लड़की को देखना जाइज़ नहीं जबकि यह मुश्तहात हो। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.28:– अजनबिया औरत की तरफ़ नज़र करने में ज़रूरत की एक सूरत यह भी है कि औरत बीमार है उसके इलाज में बाज़ अअ्ज़ा की तरफ़ नज़र करने की ज़रूरत पड़ती है बल्कि उसके जिस्म को छूना पड़ता है मस्लन नब्ज़ देखने में हाथ छूना होता है या पेट में वरम का ख़्याल हो तो टटोल कर देखना होता है या किसी जगह फोड़ा हो तो उसे देखना होता है बल्कि बाज़ मरतबा टटोलना भी पड़ता है इस सूरत में मोज़अ् मर्ज़ (मर्ज़ की जगह) की तरफ़ नज़र करना या उस ज़रूरत से बक़द्रे ज़रूरत उस जगह को छूना जाइज़ है।

यह उस सूरत में है कि कोई औरत इलाज करने वाली न हो वरना चाहिए यह कि औरत को भी इलाज करना सिखाया जाये ताकि ऐसे मवाक़ेअ् पर वह काम करें कि उनके देखने वग़ैरा में इतनी ख़राबी नहीं जो मर्द के देखने वग़ैरा में है अकस्र जगह दाईयाँ होती हैं जो पेट के वरम को देख सकती हैं। जहाँ दाईयाँ दस्तयाब हों मर्द को देखने की ज़रूरत बाक़ी नहीं रहती। इलाज की ज़रूरत से नज़र करने में भी यह एहतियात ज़रूरी है कि सिर्फ़ उतना ही हिस्सा–ए–बदन खोला जाये जिसके देखने की ज़रूरत है बाक़ी हिस्सा–ए–बदन को अच्छी तरह छुपा दिया जाये कि उस पर नज़र न पड़े। (हिदाया वग़ैरा)

मसअ्ला.29:– अ़मल देने (दवा की बत्ती या पिचकारी चढ़ाना) की ज़रूरत हो तो मर्द मर्द के मोज़अ् हुक़्ना (दवा की बत्ती या पिचकारी चढ़ाने की जगह यानी पीछे का मकाम) की तरफ़ भी नज़र कर सकता है यह भी ब'वजहे ज़रूरत जाइज़ है और ख़त्ना करने में मोज़अ् ख़त्ना की तरफ़ नज़र करना बल्कि उसका छूना भी जाइज़ है कि यह भी ब'वजहे ज़रूरत है। (हिदाया, आलमगीरी)

मसअ्ला.30:– औरत को फ़स्द कराने (रग से ख़ून निकलवाने) की ज़रूरत है और कोई औरत ऐसी नहीं है जो अच्छी तरह फ़स्द खोले तो मर्द से फ़स्द कराना जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.31:– अजनबिया औरत ने ख़ूब मोटे कपड़े पहन रखे हैं कि बदन की रंगत वग़ैरा नज़र नहीं आती तो उस सूरत में उसकी तरफ़ नज़र करना जाइज़ है कि यहाँ औरत को देखना नहीं हुआ बल्कि उन कपड़ों को देखना हुआ यह उस वक़्त है कि उसके कपड़े चुस्त न हों और अगर चुस्त कपड़े पहने हो कि जिस्म का नक़्शा खिंच जाता हो मस्लन चुस्त पायजामा में पिन्डली औरउनकी पूरी हैअ्त नज़र आती है तो इस सूरत में नज़र करना ना'जाइज़ है उसी तरह बाज़ औरतें बहुत बारीक कपड़े पहनती हैं मस्लन आबे रवाँ (एक क़िस्म का अच्छा और बारीक कपड़ा) या जाली या बारीक मल'मल ही का दो'पट्टा जिससे सर के बाल या बालों की स्याही या गर्दन या कान नज़र आते हैं और बाज़ बारीक तन्ज़ेब या जाली के कुर्ते पहनते हैं कि पेट और पीठ बिल्कुल नज़र आती है इस हालत में नज़र करना हराम है और ऐसे मौक़े पर उनको इस क़िस्म के कपड़े पहनना भी ना'जाइज़। (आलमगीरी)

मसअ्ला.32:– ख़स्सी यानी जिसके उन्स्यैन निकाल लिये गये हों या मजबूब जिसका अ़ज़्वे तनासुल काट लिया गया जब उनकी उ़म्र पन्द्रह साल की हो तो उनके लिये भी अजनबियों की तरफ़ नज़र करना ना'जाइज़ है यही हुक्म ज़न्ख़ों (हिजड़ों) का भी है। (हिदाया)

मसअ्ला.33:– जिस अ़ज़्व की तरफ़ नज़र करना ना'जाइज़ है अगर वह बदन से जुदा होजाये तो अब भी उसकी तरफ़ नज़र करना ना'जाइज़ ही रहेगा। मस्लन पेढू के बाल कि उनको जुदा करने के बाद भी दूसरा शख़्स देख नहीं सकता औरत के सर के बाल या उसके पाँव या कलाई की हड्डी कि उसके मरने के बाद भी अजनबी शख़्स उनको नहीं देख सकता औरत के पाँव के नाख़ुन कि उनको भी अजनबी शख़्स नहीं देख सकता और हाथ के नाख़ुन को देख सकता है। (दुर्रेमुख़्तार) अकस्र देखा गया है कि गुस्ल ख़ाना, पाख़ाना में मुए ज़ेरे नाफ़ मून्ड कर बाज़ लोग छोड़ देते हैं

ऐसा करना दुरूस्त नहीं बल्कि उनको ऐसी जगह डालदें कि किसी की नजर न पडे या जमीन में दफ्न करदें औरतों को भी लाजिम है कि कंघा करने में या सर धोने में जो बाल निकलें उन्हें कहीं छुपादे कि उनपर अजनबी की नज़र न पडे।

मसअ्ला.34:– औरत को दाढी या मूंछ के बाल निकल आयें तो उनका नोचना जाइज बल्कि मुस्तहब है कि कहीं उसके शौहर को उससे नफरत न पैदा हो। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.35:– अजनबिया औरत के साथ ख़लवत यानी दोनों का एक मकान में तन्हा होना हराम है हाँ अगर वह बिल कुल बूढी है कि शहवत के काबिल न हो तो ख़लवत हो सकती है औरत को तलाके बाइन देदी तो उसके साथ तन्हा मकान में रहना ना जाइज है और अगर दूसरा मकान न हो तो दोनो के मा बैन पर्दा लगा दिया जाये ताकि दोनों अपने अपने हिस्से में रहें यह उस वक़्त है कि शौहर फासिक न हो और अगर फ़ासिक हो तो ज़रूरी है कि वहाँ कोई ऐसी औरत भी रहे जो शौहर को औरत से रोकने पर कादिर हो। (दुर्रेमुख्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.36:– महारिम के साथ खलवत जाइज है यानी दोनों एक मकान में तन्हा हो सकते हैं मगर रजाई बहन और सास के साथ तन्हाई जाइज नहीं जब कि यह जवान हों यही हुक्म औरत की जवान लडकी का है जो दूसरे शौहर से है। (दुर्रेमुख्तार, रद्दुलमुहतार)

मकान में जाने के लिये इजाज़त लेना

अल्लाह अज्ज़ व जल्ल फरमाता है।

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَ تُسَلِّمُوْا عَلٰۤى اَهْلِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَاۤ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَ اِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَ مَا تَكْتُمُوْنَ﴾

ऐ ईमान वालो अपने घरों के सिवा दूसरे घरों में दाखिल न हो जब तक इजाजत न लेलो और घरवालों पर सलाम न करलो यह तुम्हारे लिये बेहतर है ताकि तुम नसीहत पकडो और अगर उन घरों मे किसी को न पाओ तो अन्दर न जाओ जब तक तुम्हें इजाजत न मिले और अगर तुम से कहा जाये कि लौट जाओ तो वापस चले आओ यह तुम्हारे लिये ज्यादा पाकीजा है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको जानता है उसमे तुम पर कोई गुनाह नहीं कि ऐसे घरो के अन्दर चले जाओ जिनमें कोई रहता नहीं है और उनमें तुम्हारा सामान है और अल्लाह जानता है जो तुम ज़ाहिर करते हो और जिसको छुपाते हो। ●

और फरमाता है।

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَ الَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ؕ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَ حِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَ مِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ؕ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ؕ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝ وَ اِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ﴾

ऐ ईमान वालो चाहिए कि तुमसे इज्न ले वह जिनके तुम मालिक हो (गुलाम) और तुम में अभी जवानी को न पहुँचे तीन वक्त नमाज सुब्ह से पहले और जब तुम अपने कपडे उतार रखते हो दोपहर को और नमाज इशा के बाद यह तीन वक्त तुम्हारी शर्म के हैं उन तीन के इलावा कुछ गुनाह नहीं तुम पर न उन पर, तुम्हारे पास आम्द व रफ्त रखते हैं बाज के पास। यूही अल्लाह तुम्हारे लिये आयतें बयान करता है और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है जब तुममे के लडके जवानी को पहुँच जायें तो वह भी इज्न मागें जैसे उनके अगलों ने इज्न मागा यूही अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतें बयान करता है और अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है।

हदीस (1) सहीह बुखारी व मुस्लिम में अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु तआला अन्हु हमारे पास आये और यह कहा कि हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने मुझे बुलाया था मैंने उनके दरवाजे पर जाकर तीन बार सलाम किया जब जवाब नहीं मिला तो मैं वापस चला आया अब हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि तुम क्यों नहीं आये मैंने कहा कि मैं आगा था और दरवाज़े पर तीन बार सलाम किया जब जवाब नहीं मिला तो वापस गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया कि जब कोई शख्स तीन बार इजाजत मांगे और जवाब न मिले तो वापस जाये हज़रत उमर यह फ़रमाते हैं कि गवाह लाओ कि हुज़ूर ने ऐसा फरमाया है अबूसईद खुदरी कहते हैं मैंने जाकर गवाही दी।

हदीस (2) सहीह बुख़ारी में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ मैं मकान में गया हुज़ूर को प्याले में दूध मिला और फ़रमाया "अबू हुरैरा असहाबे सुफ़्फ़ा के पास जाओ उन्हें बुला लाओ" (ताकि उन को दूध दिया जाये) मैं उन्हें बुला लाया वह आये और इजाज़त तलब की हुज़ूर ने इजाज़त दी तब वह मकान के अन्दर दाख़िल हुए।

हदीस (3) अबूदाऊद ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब कोई शख़्स बुलाया जाये और उसी बुलाने वाले के साथ ही आये तो यही (बुलाना) उसके लिये इजाज़त है यानी उस सूरत में इजाज़त हासिल करने की ज़रूरत नहीं है और एक रिवायत में है कि आदमी भेजना ही इजाज़त है यह हुक्म उस वक़्त है कि फ़ौरन आये और क़राइन से मालूम हो कि साहिबे ख़ाना इन्तिज़ार में है मकान में पर्दा होचुका है तो इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं और अगर देर में आये तो इजाज़त हासिल करे जैसा कि असहाबे सुफ़्फ़ा ने किया था।

हदीस (4) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने कलदा बिन हम्बल से रिवायत की कहते हैं कि सफ़वान बिन उमय्या ने मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास भेजा था मैं बिग़ैर सलाम किये और बिग़ैर इजाज़त अन्दर चलागया हुज़ूर ने फ़रमाया "बाहर जाओ और यह कहो अस्सलामुअलैकुम अ'अदख़ुलु क्या अन्दर आ जाऊँ।

हदीस (5) इमाम मालिक ने अता इब्ने यसार से रिवायत की कहते हैं कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दरयाफ़्त किया कि क्या मैं अपनी माँ के पास जाऊँ तो उस से भी इजाज़त लूँ हुज़ूर ने फ़रमाया हाँ उन्होंने कहा मैं तो उसके साथ उसी मकान में रहता ही हूँ हुज़ूर ने फ़रमाया इजाज़त लेकर उसके पास जाओ उन्होंने कहा मैं उसकी ख़िदमत करता हूँ यानी बार बार आना जाना होता है फिर इजाज़त की क्या ज़रूरत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "इजाज़त लेकर जाओ क्या तुम यह पसन्द करते हो कि उसे बरहना देखो" अर्ज़ की नहीं फ़रमाया "इजाज़त हासिल करो"।

हदीस (6) बैहक़ी ने शोअ़बुल ईमान में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जो शख़्स इजाज़त तलब करने से पहले सलाम न करे उसे इजाज़त न दो"।

हदीस (7) अबूदाऊद ने अ़ब्दुल्लाह बिन बुस्र रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी के दरवाज़े पर तशरीफ़ लेजाते तो दरवाज़े के सामने नहीं खड़े होत थे बल्कि दाहिने या बायें हटकर खड़े होते और यह फ़रमाते "अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामुअलैकुम" और इसकी वजह यह थी कि उस ज़माने में दरवाज़ों पर पर्दे नहीं होते थे।

हदीस (8) तिर्मिज़ी ने सौबान रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "किसी शख़्स को यह हलाल नहीं कि दूसरे के घर में बिग़ैर इजाज़त हासिल किये नज़र करे और अगर नज़र करली तो दाख़िल ही हो गाया और यह न करे कि कि किसी क़ौम की इमामत करे और ख़ास अपने लिये दुआ करे, उनके लिये न करे और ऐसा किया तो उन की ख़्यानत की"।

हदीस (9) इमाम अहमद व नसाई ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो किसी घर में बिग़ैर इजाज़त लिये झांके और उन्होंने उसकी आँख फोड़ दी तो न दियत है न क़िसास में"। (यानी आँख फोड़ने के एवज़ न माल दिया जायेगा न आँख फोड़ी जायेगी)

हदीस (10) तिर्मिज़ी ने अबूज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जिसने इजाज़त से पहले पर्दा हटाकर मकान के अन्दर

नज़र की उसने ऐसा काम किया जो उसके लिये हलाल न था और अगर किसी ने उसकी आँख फोड़दी तो उसपर कुछ नहीं और अगर कोइे शख़्स ऐसे दरवाज़े पर गया जिस पर पर्दा नहीं और उसकी नज़र घर वाले की औरत पर पड़गई (यानी बिग़ैर इरादा) तो उसकी ख़ता नहीं ख़ता घरवालों की है''। (कि उन्होंने दरवाज़े पर पर्दा क्यों नहीं लटकाया)

मसाइले फ़िक़्हिया

मसअ्ला.1:– जब कोई शख़्स दूसरे के मकान पर जाये तो पहले अन्दर आने की इजाज़त हासिल करे फिर जब अन्दर जाये तो पहले सलाम करे उसके बाद बात'चीत शुरूअ् करे और अगर जिसके पास गया है वह बाहर है तो इजाज़त की ज़रूरत नहीं सलाम करे उसके बाद कलाम शुरूअ् करे।

मसअ्ला.2:– किसी के दरवाज़े पर जाकर आवाज़ दी उसने कहा कौन तो उसके जवाब में यह न कह कि 'मैं' जैसाकि बहुत से लोग मैं कहकर जवाब देते हैं इस जवाब को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने ना'पसन्द फ़रमाया बल्कि जवाब में अपना नाम ज़िक्र करे क्योंकि मैं का लफ़्ज़ तो हर शख़्स अपने को कह सकता है यह जवाब ही कब हुआ।

मसअ्ला.3:– अगर तुमने इजाज़त मांगी और साहिबे ख़ाना ने इजाज़त न दी तो उससे नाराज़ न हो अपने दिल में कदूरत (नाराज़गी) न लाओ ख़ुशी ख़ुशी वहाँ से वापस आओ हो सकता है उसको इस वक़्त तुमसे मिलने की फ़ुर्सत न हो किसी ज़रूरी काम में मशग़ूल हो।

मसअ्ला.4:– अगर ऐसे मकान में जाना हो कि उसमें कोई न हो तो यह कहो अस्सलामु अ़लैना व अ़ला इबादिल्लाहिस्सालेहीन फ़िरिश्ते इस सलाम का जवाब देंगे।(रद्दुलमुहतार) या इस तरह कहे अस्सलामुअ़लै'क अय्युहन्नबियु क्योंकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की रूह मुबारक मुसलमानों के घरों में तशरीफ़ फ़रमा है।

मसअ्ला.5:– आने वाले ने सलाम नहीं किया और बात'चीत शुरूअ् करदी तो उसे इख़्तियार है कि इसकी बात का जवाब न दे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ''जिस ने सलाम से पहले कलाम किया उसकी बात का जवाब न दो''। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.6:– आने के वक़्त भी सलाम करे और जाते वक़्त भी यहाँ तक कि दोनों के दरम्यान में अगर दीवार या दरख़्त हाइल होजाये जब भी सलाम करे। (रद्दुलमुहतार)

सलाम का बयान

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है

﴿وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَآ اَوْ رُدُّوْهَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا﴾

''जब तुमको कोई किसी लफ़्ज से सलाम करे तो तुम उससे बेहतर लफ़्ज़ जवाब में कहो या वही कहदो बेशक अल्लाह हर चीज़ पर हिसाब लेने वाला है''

और फ़रमाता है

﴿فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً﴾

''जब तुम घरों में जाओ तो अपनों को सलाम करो अल्लाह की तरफ़ से तहिय्यत है मुबारक पाकीज़ा''।

हदीस् (1) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने आदम अ़लैहिस्सलाम को उनकी सूरत पर पैदा फ़रमाया उनका क़द साठ हाथ का था जब पैदा किया यह फ़रमाया कि उन फ़िरिश्तों के पास जाओ और सलाम करो और सुनो कि वह तुम्हें क्या जवाब देते हैं। जो कुछ वह तहिय्यत करें वही तुम्हारी और तुम्हारी ज़ुर्रियत की तहिय्यत है हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम ने उनके पास जाकर अस्सलामुअ़लैकुम कहा उन्होंने जवाब में कहा अस्सलामुअ़लै'क व'रहमतुल्लाह हुज़ूर ने फ़रमाया कि जवाब में मलाइका ने व रहमतुल्लाह ज़्यादा कहा हुज़ूर ने फ़रमाया जो शख़्स जन्नत में जायेगा वह आदम अ़लैहिस्सलाम की सूरत पर होगा और साठ हाथ लम्बा होगा आदम अ़लैहिस्सलाम के बाद लोगों की ख़लक़त कम होती गई यहाँ तक कि अब। (बहुत छोटे क़द का इन्सान होता है)

हदीस (2) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दरयाफ़्त किया कि इस्लाम की कौनसी चीज़ सब से अच्छी है हुज़ूर ने फ़रमाया "खाना खिलाओ और जिसको पहचानते हो और नहीं पहचानते सब को सलाम करो"।

हदीस (3) निसाई ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायात की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया एक मोमिन के दूसरे मोमिन पर छः हक़ हैं (1)जब वह बीमार हो तो अयादत करे और (2)जब वह मरजाये तो उसके जनाज़े में हाज़िर हो और (3)जब वह बुलाये तो इजाबत करे यानी हाज़िर हो और (4)जब उससे मिले तो सलाम करे और (5)जब छींके तो जवाब दे और (6)हाज़िर व ग़ाइब उसकी ख़ैर ख़्वाही करे।

हदीस (4) तिर्मिज़ी व दारमी ने हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मुस्लिम पर छः हुकूक़ हैं मअ्रूफ़ के साथ जब उनसे मिले तो सलाम करे और जब वह बुलाये इजाबत करे और जब छींके यह जवाब दे और जब बीमार हो अयादत करे और जब वह मरजाये उसके जनाज़े के साथ जाये और जो चीज़ अपने लिये पसन्द करे, उसके लिये पसन्द करे।

हदीस (5) सहीह मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जन्नत में तुम नहीं जाओगे जब तक ईमान न लाओ और तुम मोमिन नहीं होगे जब तक आपस में महब्बत न करो क्या तुम्हें ऐसी चीज़ न बताऊँ कि जब तुम उसे करो तो आपस में महब्बत करने लगोगे वह यह है कि आपस में सलाम को फैलाओ"

हदीस (6) इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व अबूदाऊद अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स पहले सलाम करे वह रहमते इलाही का ज़्यादा मुस्तहक़ है।

हदीस (7) बैहक़ी ने शोअ्बुल ईमान में अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो पहले सलाम करता है वह तकब्बुर से बरी है।

हदीस (8) अबू दाऊद ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब कोई शख़्स अपने भाई से मिले तो उसे सलाम करे फिर उन दोनों के दरमियान दरख़्त या दीवार या पत्थर हाइल होजाये और फिर मुलाक़ात हो तो फिर सलाम करे।

हदीस (9) तिर्मिज़ी ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "बेटे जब घर वालों के पास जाओ तो उन्हें सलाम करो तुम पर और तुम्हारे घरवालों पर उसकी बरकत होगी"।

हदीस (10) तिर्मिज़ी ने जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "सलाम बात चीत करने से पहले है"।

हदीस (11) तिर्मिज़ी ने जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "सलाम को कलाम से पहले होना चाहिए और किसी को खाने के लिये न बुलाओ जब तक वह सलाम न करले"।

हदीस (12) इब्नुन्नज्जार ने हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "सवाल से पहले सलाम है जो शख़्स सलाम से पहले सवाल करे उसे जवाब न दो"।

हदीस (13) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जब किसी मज्लिस तक कोई पहुँचे तो सलाम करे

फिर अगर वहाँ बैठना हो तो बैठ जाये फिर जब वहाँ से उठे सलाम करे क्योंकि पहली मरतबा का सलाम पिछली मरतबा के सलाम से ज़्यादा बेहतर नहीं है यानी जैसे वह सुन्नत है यह भी सुन्नत है।

हदीस् (14) इमाम मालिक व बैहक़ी ने शोअ़्बुल ईमान में तुफ़ैल बिन उबयी बिन कअ़्ब से रिवायत की कि वह सुबह को इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा के पास जाते तो वह उनको अपने साथ बाज़ार लेजाते वह घटिया चीज़ों के बेचने वाले और किसी बेचने वाले और मिस्कीन या किसी के सामने से गुजरते सब को सलाम करते तुफ़ैल कहते हैं कि एक दिन मैं अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा के पास आया उन्होंने बाज़ार चलने को कहा मैंने कहा आप बाज़ार जाकर क्या करेंगे न तो आप वहाँ खड़े होते हैं न सौदे के मुतअ़ल्लिक़ कुछ दरयाफ़्त करते हैं न किसी चीज का नर्ख़ चुकाते हैं और न बाज़ार की मज्लिसों में बैठते हैं। यहीं बैठे बातें कीजिये यानी ह़दीसें सुनाईये उन्होंने फरमाया हम सलाम करने के लिये बाज़ार जाते हैं जो मिलेगा उसे सलाम करेंगे।

हदीस् (15) इमाम अहमद व बैहक़ी ने शोअ़्बुल ईमान में जाबिर रदियल्लाहु तआला अ़न्हु से रिवायत की कि एक दिन नबी करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में एक शख़्स़ हाज़िर हुआ और यह अ़र्ज़ की कि फुलाँ शख़्स़ के मेरे बाग़ में कुछ फल हैं उनकी वजह से मुझे तकलीफ़ है हुज़ूर ने आदमी भेजकर उसे बुलाया और यह फ़रमाया कि अपने फलों को बेच डालो उसने कहा नहीं बेचूँगा हुज़ूर ने फ़रमाया हिबा करदो उसने कहा नहीं। हुज़ूर ने फ़रमाया "उसको जन्नत के फल के एवज़ बेचदो उसने कहा नहीं हुज़ूर ने फ़रमाया "तुझ से बढ़कर बख़ील मैंने नहीं देखा मगर वह शख़्स़ जो सलाम करने में बुख़्ल करता है"।

हदीस् (16) बैहक़ी ने ह़ज़रत अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की फ़रमाया जमाअ़त कहीं से गुज़री और उसमें एक ने सलाम कर लिया यह काफ़ी है और जो लोग बैठे हैं उन में से एक ने जवाब देदिया यह काफ़ी है" यानी सब पर जवाब देना ज़रूरी नहीं।

हदीस् (17) स़ही़ह़ बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "सवार पैदल को सलाम करे, और चलने वाला बैठे हुए को सलाम करे, और थोड़े आदमी ज़्यादा आदमियों को सलाम करें" यानी एक तरफ़ ज़्यादा हों और दूसरी त़रफ़ कम तो सलाम वह लोग करें जो कम हैं बुख़ारी की दूसरी रिवायत उन्हीं से यह है कि छोटा बड़े को सलाम करे और गुज़रने वाला बैठे हुए को और थोड़े ज़्यादा को।

हदीस् (18) स़ही़ह़ बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम बच्चों के सामने से गुज़रे और बच्चों को सलाम किया।

हदीस् (19) स़ही़ह़ मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया यहूद व नस़ारा को इब्तिदाअ़न सलाम न करो और जब तुम उनसे रास्ते में मिलो तो उनको तंग रास्ते की त़रफ़ मुज़्त़र करो।

हदीस् (20) स़ही़ह़ बुख़ारी व मुस्लिम में उसामा बिन ज़ैद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम एक मज्लिस पर गुज़रे जिसमें मुसलमान और मुश्रिकीन, बुत परस्त और यहूद सब ही थे हुज़ूर ने सलाम किया यानी मुसलमान की नियत से।

हदीस् (21) स़ही़ह़ बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब यहूद तुम को सलाम करते हैं तो यह कहते हैं 'अस्सामुअ़लैका' तो तुम उसके जवाब में व अ़लैका कहो" यानी व अ़लैकस्सलाम न कहो। साम के मअ़्ना मौत हैं वह लोग ह़क़ीक़तन सलाम नहीं करते बल्कि मुस्लिम के जल्द मरजाने की दुआ़ करते हैं उसी की मिस्ल अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से भी मरवी है कि "अहले किताब सलाम करें तो उनके जवाब में व अ़लैकुम कहदो"।

हदीस् (22) स़ही़ह़ बुख़ारी व मुस्लिम में अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआ़ला अ़नहु से मरवी कि

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रास्तों में बैठने से बचो लोगों ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हमें रास्ते में बैठने से चारा नहीं हम वहाँ आपस में बात चीत करते हैं फ़रमाया जब तुम नहीं मानते और बैठना ही चाहते हो तो रास्ते का हक़ अदा करो लोगों ने अर्ज़ की रास्ते का हक़ क्या है फ़रमाया नजर नीची रखना और अज़ियत को दूर करना और सलाम का जवाब देना और अच्छी बात का हुक्म करना और बुरी बातों से मनअ् करना।

दूसरी रिवायत में है और रास्ता बताना। एक और रिवायत में है फ़रयाद करने वाले की फ़रयाद सुनना और भूले हुए को हिदायत करना।

हदीस् (23) शरह सुन्ना में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रास्तों के बैठने में भलाई नहीं है मगर उसके लिये जो रास्ता बताये और सलाम का जवाब दे और नज़र नीची रखे और बोझ लादने पर मदद करे।

हदीस् (24) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने इमरान इब्ने हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि एक शख़्स नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में आया और अस्सलामु अलैकुम कहा हुज़ूर ने उसे जवाब दिया वह बैठ गया हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया इसके लिये दस, यानी दस नेकियाँ हैं फिर दूसरा आया और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा हुज़ूर ने जवाब दिया और यह भी बैठ गया हुज़ूर ने फ़रमाया इसके लिये बीस, फिर तीसरा शख़्स आया और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा उसको जवाब दिया और यह भी बैठ गया हुज़ूर ने फ़रमाया इसके लिये तीस और मआज़ इब्ने अनस की रिवायत में है कि फिर एक शख़्स आया उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू हुज़ूर ने फ़रमाया इसके लिये चालीस और फ़ज़ाइल इसी तरह होते हैं यानी जितना काम ज़्यादा होगा स्वाब भी बढ़ता जायेगा।

हदीस् (25) तिर्मिज़ी में ब रिवायत उमर बिन शुऐब अन अबीहि अन जद्देही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स हमारे ग़ैर के साथ तशब्बोह करे वह हममें से नहीं यहूद व नसारा के साथ तशब्बोह न करो यहूदियों का सलाम उंगलियों के इशारे से है और नसारा का सलाम हथेलियों के इशारे से है।

हदीस् (26) अबूदाऊद व तिर्मिज़ी ने अबू जुरैय रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की-कहते हैं मैंने हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर होकर यह कहा अलैकस्सलामु या रसूलल्लाह मैंने दो मरतबा कहा हुज़ूर ने फ़रमाया अलैकस्सलामु न कहो अलैकस्सलाम मुर्दा की तहिय्यत है अस्सलामु अलैका कहा करो।

मसाइले फ़िक़्हिया

सलाम करने में यह नियत हो कि उसकी इज़्ज़त व आबरू और माल सब कुछ उसकी हिफ़ाज़त में है उन चीज़ों से तआरुज़ करना हराम है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.1:– सिर्फ़ उसी को सलाम न करे जिसको पहचानता हो बल्कि हर मुसलमान को सलाम करे चाहे पहचानता हो या न पहचानता हो बल्कि बाज़ सहाबा किराम इसी इरादे से बाज़ार जाते थे कि कस्रत से लोग मिलेंगे और ज़्यादा सलाम करने का मौक़ा मिलेगा।

मसअ्ला.2:– इसमें इख़्तिलाफ़ है कि अफ़ज़ल क्या है सलाम करना या जवाब देना किसी ने कहा जवाब देना अफ़ज़ल है क्योंकि सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब। बाज़ ने कहा कि सलाम करना अफ़ज़ल है कि उसमें तवाज़ोअ् है जवाब तो सभी देदेते हैं। मगर सलाम करने में बाज़ मरतबा लोग कसरे शान समझते हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– एक शख़्स को सलाम करे तो उसके लिये भी लफ़्ज़ जमअ् होना चाहिए यानी अस्सलामु अलैकुम कहे और जवाब देने वाला भी व अलैकुमुस्सलाम कहे बजाये अलैकुम, अलैका न कहे और दो या दो से ज़्यादा को सलाम करे जब भी अलैकुम कहे और बेहतर यह है कि सलाम में रहमत व बरकत का भी ज़िक्र करे यानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहे और

जवाब देने वाला भी वही कहे बरकातुहू सलाम का ख़ात्मा होता है इसके बाद और अल्फ़ाज़ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– जवाब में 'वाव' होना यानी व'अ़लैकुमुस्सलाम कहना बेहतर है और अगर सिर्फ़ अ़लैकुमुस्सलाम बिग़ैर 'वाव' कहा यह भी होसकता है और अगर जवाब में उसने भी वही अस्सलामु अ़लैकुम कहदिया तो उससे भी जवाब होजायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– अगर्चे सलामुन अ़लैकुम भी सलाम है मगर यह लफ़्ज़ शियों में इस तरह जारी है कि उसके कहने से सुनने वाले का ज़हन फ़ौरन उसकी तरफ़ मुन्तक़िल होता है कि यह शख़्स शीई (शिया) है। लिहाज़ा उससे बचना ज़रूरी है।

मसअ्ला.6:– सलाम का जवाब फ़ौरन देना वाजिब है बिला उ़ज़्र ताख़ीर की तो गुनहगार हुआ और यह गुनाह जवाब देने से दफ़अ् न होगा बल्कि तौबा करनी होगी। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुह़तार)

मसअ्ला.7:– जिन लोगों को उसने सलाम किया उनमें से किसी ने जवाब न दिया बल्कि किसी और ने जो उससे ख़ारिज था जवाब दिया तो यह जवाब अहले मज्लिस की तरफ़ से नहीं हुआ। यानी वह लोग बरियुज़्ज़िम्मा न हुए। (रद्दुलमुह़तार)

मसअ्ला.8:– एक जमाअ़त दूसरी जमाअ़त के पास आई और किसी ने सलाम न किया तो सबने सुन्नत को तर्क किया सब पर इलज़ाम है (यानी सब गुनाहगार होंगे) और अगर उनमें से एक ने सलाम करलिया तो सब बरी होगये और अफ़ज़ल यह है कि सब ही सलाम करें यूहीं अगर उनमें से किसी ने जवाब न दिया तो सब गुनहगार हुए और अगर एक ने जवाब देदिया तो सब बरी होगये और अफ़ज़ल यह है कि सब जवाब दें। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– एक शख़्स मज्लिस में आया और उसने सलाम किया अहले मज्लिस पर जवाब देना वाजिब है और दोबारा फिर सलाम किया तो जवाब देना वाजिब नहीं मज्लिस में आकर किसी ने अस्सलामु अ़लैक् कहा यानी सेग़ाए वाहिद बोला और किसी एक शख़्स ने जवाब देदिया तो जवाब होगया ख़ास उसको जवाब देना वाजिब नहीं जिसकी तरफ़ उसने इशारा किया है हाँ अगर उसने किसी शख़्स का नाम लेकर सलाम किया कि फ़ुलाँ साह़ब अस्सलामुअ़लैक् तो ख़ास उस शख़्स को जवाब देना होगा। दूसरे का जवाब उसके जवाब के क़ाइम मक़ाम नहीं होगा। (ख़ानिया)

मसअ्ला.10:– अहले मज्लिस पर सलाम किया उनमें से किसी ना'बालिग़, आ़क़िल ने जवाब देदिया तो यह जवाब काफ़ी है और बुढ़िया ने जवाब दिया यह जवाब भी होगया जवान औ़रत या मजनून या ना'समझ बच्चे ने जवाब दिया यह ना'काफ़ी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– साइल ने दरवाज़े पर आकर सलाम किया उसका जवाब देना वाजिब नहीं कचहरी में क़ाज़ी जब इजलास कर रहा हो उसको सलाम किया गया क़ाज़ी पर जवाब देना वाजिब नहीं लोग खाना खा रहे हों उस वक़्त कोई आया तो सलाम न करे हाँ अगर यह भूका है और जानता है कि उसे वह लोग खाने में शरीक करलेंगे तो सलाम कर ले।(ख़ानिया बज़ाज़िया) यह उस वक़्त है कि खाने वाले के मुँह में लुक़्मा है वह चबा रहा है कि उस वक़्त वह जवाब देने से आ़जिज़ है और अभी खाने के लिये बैठा ही है या खाचुका है तो सलाम कर सकता कि अब वह आ़जिज़ नहीं।(रद्दुलमुह़तार)

मसअ्ला.12:– एक शख़्स शहर से आरहा है दूसरा देहात से दोनों में कौन सलाम करे बाज़ ने कहा शहरी देहाती को सलाम करे और बाज़ उ़लमा फ़रमाते हैं देहाती शहरी को सलाम करे एक शख़्स, बैठा हुआ है दूसरा यहाँ से गुज़रा तो यह गुज़रने वाला बैठे हुए को सलाम करे, और छोटा बड़े को सलाम करे, और सवार पैदल को सलाम करे और थोड़े ज़्यादा को सलाम करें। एक शख़्स पीछे से आया यह आगे वाले को सलाम करे। (बज़ाज़िया, आ़लमगीरी)

मसअ्ला.13:– मर्द और औ़रत की मुलाक़ात हो तो मर्द औ़रत को सलाम करे और अगर औ़रत अजनबिया ने मर्द को सलाम किया और वह बूढ़ी हो तो इस तरह जवाब दे कि वह भी सुने और

वह जवान हो तो उस तरह जवाब दे कि वह न सुने। (खानिया)

मसअला.14:— जब अपने घर में जाये तो घर वालों को सलाम करे बच्चों के सामने गुज़रे तो उन बच्चों को सलाम करे। (आलमगीरी)

मसअला.15:— कुफ़्फ़ार को सलाम न करे और वह सलाम करें तो जवाब दे सकता है मगर जवाब में सिर्फ़ अलैकुम कहे। अगर ऐसी जगह गुज़रना हो जहाँ मुस्लिम व काफ़िर दोनों हों तो अस्सलामु अलैकुम कहे और मुसलमानों पर सलाम का इरादा करे और यह भी हो सकता है कि अस्सलामु अला मनित्तबअ़ल'हुदा कहे। (आलमगीरी)

मसअला.16:— काफ़िर को अगर हाजत की वजह से सलाम किया मस्लन सलाम न करने में उससे अंदेशा है तो हरज नहीं और ब'क़स्दे तअ़ज़ीम (ताज़ीम के इरादे से) काफ़िर को हरगिज़, हरगिज़ सलाम न करे कि काफ़िर की तअ़ज़ीम कुफ़्र है। (दुर्रेमुख्तार)

मसअला.17:— सलाम इस लिये है कि मुलाक़ात करने को जो शख़्स आये वह सलाम करे कि ज़ाइर और मुलाक़ात करने वाले की यह तहिय्यत है लिहाज़ा जो शख़्स मस्जिद में आया और हाज़िरीने मस्जिद तिलावते कुर्आन व तस्बीह व दुरूद में मशगूल हैं या इन्तिज़ारे नमाज़ में बैठे हैं तो सलाम न करे कि यह सलाम का वक़्त नहीं इसी वास्ते फ़ुक़हा यह फ़रमाते हैं कि उनको इख़्तियार है कि जवाब दें या न दें हाँ अगर कोई शख़्स मस्जिद में इस लिये बैठा है कि लोग उसके पास मुलाक़ात को आयें तो आने वाले सलाम करें। (आलमगीरी)

मसअला.18:— कोई शख़्स तिलावत में मशगूल है या दर्स व तदरीस या इल्मी गुफ़्तगू या सबक़ की तकरार में है तो उसको सलाम न करे उसी तरह आज़ान व इक़ामत व खुत्बए जुमआ व ईदैन के वक़्त सलाम न करे सब लोग इल्मी गुफ़्तगु कर रहे हों या एक शख़्स बोल रहा है बाक़ी सुन रहे हों दोनों सूरतों में सलाम न करे मस्लन आलिम वअ़ज़ कह रहा है या दीनी मसअला पर तक़रीर कर रहा है और हाज़ेरीन सुन रहे हैं आने वाला शख़्स चुपके से आकर बैठ जाये सलाम न करे।(आलमगीरी)

मसअला.19:— आलिमे दीन तअ़लीमे इल्मे दीन में मशगूल है तालिबे इल्म आया तो सलाम न करे और सलाम किया तो उसपर जवाब देना वाजिब नहीं।(आलमगीरी) और यह भी हो सकता है कि अगर्चे वह पढ़ा न रहा हो सलाम का जवाब देना वाजिब नहीं क्योंकि यह उसकी मुलाक़ात को नहीं आया है कि उसके लिये सलाम करना मसनून हो बल्कि पढ़ने के लिये आया है, जिस तरह क़ाज़ी के पास जो लोग इजलास में जाते हैं वह मिलने को नहीं जाते बल्कि अपने मुक़द्दमा के लिये जाते हैं।

मसअला.20:— जो शख़्स ज़िक्र में मशगूल हो उसके पास कोई शख़्स आया तो सलाम न करे और किया तो ज़ाकिर पर जवाब वाजिब नहीं। (आलमगीरी)

मसअला.21:— जो शख़्स पेशाब, पाख़ाना फिर रहा है या कबूतर उड़ा रहा है या गा रहा है या हम्माम या गुस्ल'ख़ाना में नंगा नहा रहा है उसको सलाम न किया जाये और उस पर जवाब देना वाजिब नहीं। (आलमगीरी) पेशाब के बाद ढेला लेकर इस्तिन्जा सुखाने के लिये टहलते हैं यह भी उसी हुक्म में है कि पेशाब कर रहा है।

मसअला.22:— जो शख़्स एलानिया फ़िस्क़ करता हो उसे सलाम न करे किसी के पड़ोस में फ़ुस्साक़ रहते हैं मगर उनसे यह अगर सख़्ती बरतता है तो वह उसको ज़्यादा परेशान करेंगे और नर्मी करता है उनसे सलाम, कलाम जारी रखता है तो वह ईज़ा पहुँचाने से बाज़ रहते हैं तो उनके साथ ज़ाहिरी तौर पर मेल, जोल रखने में यह मअ़ज़ूर है। (आलमगीरी)

मसअला.23:— जो लोग शतरंज खेल रहे हों उनको सलाम किया जाये या न किया जाये, जो उलमा सलाम करने को जाइज़ फ़रमाते हैं वह यह कहते हैं कि सलाम उस मक़सद से करे कि उतनी देर तक कि वह जवाब देंगे खेल से बाज रहेंगे यह सलाम उनको मअ़सियत से बचाने के लिये है अगर्चे इतनी ही देर तक सही जो फ़रमाते हैं कि सलाम करना ना'जाइज़ है उनका मक़सद

जज्र व तौबीख़ (झिडकना) है कि उसमें उनकी तजलील है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.24:– किसी से कहदिया कि फुलाँ को मेरा सलाम कह देना उस पर सलाम पहुँचाना वाजिब है और जब उसने सलाम पहुँचाया तो जवाब यूँ दे कि पहले उस पहुँचाने वाले को उसके बाद उसको जिसने सलाम भेजा है यानी यह कहे व'अलैका व अलैहिस्सलाम (आलमगीरी) यह सलाम पहुँचाना उस वक़्त वाजिब है जब उसने इस का इल्तिजाम कर लिया हो। यानी कहदिया हो कि हाँ तुम्हारा सलाम कहदूँगा कि इस वक़्त यह सलाम इसके पास अमानत है जो इस का हकदार है उसको देना ही होगा वरना यह ब'मन्ज़िला वदीअत है कि उसपर यह लाजिम नहीं कि सलाम पहुँचाने वहाँ जाये उसी तरह हाजियों से लोग यह कह देते हैं कि हुज़ूर अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में मेरा सलाम अर्ज करदेना यह सलाम भी पहुँचाना वाजिब है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.25:– ख़त में सलाम लिखा होता है उसका भी जवाब देना वाजिब है और यहाँ जवाब दो तरह होता है एक यह कि ज़बान से जवाब दे दूसरी सूरत यह है कि सलाम का जवाब लिखकर भेजे। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार) मगर चूंकि जवाबे सलाम फ़ौरन देना वाजिब है जैसा कि ऊपर मज़कूर हुआ तो अगर फ़ौरन तहरीरी जवाब न हो जैसा कि उमूमन होता है कि ख़त का जवाब फ़ौरन ही नहीं लिखा जाता ख़्वाह म'ख़्वाह कुछ देर होती है तो ज़बान से जवाब फ़ौरन देदे ताकि ताख़ीर से गुनाह न हो उसी वजह से अल्लामा सय्यद अहमद तहतावी ने इस जगह फरमाया 'वन्नासु गाफ़िलून' यानी लोग इससे गाफ़िल हैं आलाहज़रत क़िब्ला कुद्दिस सिर्रुहू जब ख़त पढा करते तो ख़त में जो अस्सलामु अलैकुम लिखा होता है उसका जवाब ज़बान से देकर बाद का मज़मून पढते।

मसअ्ला.26:– सलाम की मीम को साकिन कहा यानी सलाम् अलैकुम जैसा कि अकस्र जाहिल उसी तरह कहते हैं या सलामु अलैकुम मीम के पेश के साथ कहा उन दोनों सूरतों में जवाब वाजिब नहीं कि यह मसनून सलाम नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.27:– इब्तिदाअन किसी ने यह कहा अलैकस्सलाम या अलैकुमुस्सलाम तो उस का जवाब नहीं हदीस् में फ़रमाया कि "यह मुर्दों की तहिय्यत है"।

मसअ्ला.28:– सलाम इतनी आवाज़ से कहो कि जिसको सलाम किया है वह सुनले और अगर इतनी आवाज़ न हो तो जवाब देना वाजिब नहीं। जवाबे सलाम में भी इतनी आवाज़ हो कि सलाम करने वाला सुनले और इतना आहिस्ता कहा कि वह सुन न सका तो वाजिब साकित न हुआ और अगर वह बहरा है तो उसके सामने होंट को जुम्बिश दे कि उसकी समझ में आजाये कि जवाब देदिया छींक के जवाब का भी यही हुक्म है। (बज़ाज़िया)

मसअ्ला.29:– उंगली या हथेली से सलाम करना ममनूअ् है हदीस में फ़रमाया उंगलियों से सलाम करना यहूदियों का तरीक़ा है और हथेली से इशारा करना नसारा का।

मसअ्ला.30:– बाज़ लोग सलाम के जवाब में हाथ या सर से इशारा कर देते हैं बल्कि बाज़ सिर्फ़ आँखों के इशारे से जवाब देते हैं यूँ जवाब नहीं हुआ उनको मुँह से जवाब देना वाजिब है।

मसअ्ला.31:– बाज़ लोग सलाम करते वक़्त झुक भी जाते हैं यह झुकना अगर हद्दे रुकूअ् तक हो तो हराम है और इससे कम हो तो मकरूह है।

मसअ्ला.32:– इस ज़माने में कई तरह के सलाम लोगों ने ईजाद कर लिये हैं उनमें सबसे बुरा यह है जो बाज़ लोग कहते हैं **"बन्दगी अर्ज़"** यह लफ़्ज़ हरगिज़ न कहा जाये बाज़ लोग **"आदाब अर्ज़"** कहते हैं अगरचे इसमें इतनी बुराई नहीं मगर सुन्नत के ख़िलाफ़ है बाज़ लोग **तस्लीम** या **तस्लीमात अर्ज़** कहते हैं उस को सलाम कहा जासकता है कि यह सलाम ही के माना में है।

बाज़ कहते हैं सलाम, उसको भी सलाम कहा जा सकता है कुर्आन मजीद में है कि मलाइका जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ख़िदमत में हाज़िर हुए 'فَقَالُوا سَلٰمًا' उन्होंने आकर सलाम कहा इसके जवाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी सलाम कहा यानी अगर किसी ने कहा सलाम तो

सलाम कह देने से जवाब होजायेगा बाज़ लोग इस किस्म के हैं कि वह ख़ुद तो क्या सलाम करेंगे अगर उनको सलाम किया जाता है तो बिगड़ते हैं कहते हैं कि क्या हमें बराबर का समझ लिया है यानी कोई ग़रीब आदमी सलाम मसनून करे तो वह अपनी कसरे शान (अपनी बेइज्जती) समझते हैं और बाज़ यहाँ तक बेबाक हैं कि यह कहते हैं क्या हमें धुना, जुलाहा मुकर्रर कर रखा है अल्लाह तआला उनको हिदायत दे और उनकी आँखें खोले।

मसअ्ला.33:– किसी के नाम के साथ अलैहिस्सलाम कहना यह अम्बिया व मलाइका अलैहिमुस्सलाम के साथ ख़ास है मस्लन मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, जिबरील अलैहिस्सलाम, नबी और फ़िरिश्ते के सिवा किसी दूसरे के नाम के साथ यूँ न कहा जाये।

मसअ्ला.34:– अकसर जगह यह तरीक़ा है कि छोटा जब बड़े को सलाम करता है तो वह जवाब में कहता है **'जीते रहो'** यह सलाम का जवाब नहीं है बल्कि यह जवाब जाहिलियत में कुफ़्फ़ार दिया करते थे वह कहते थे हय्य'कल्लाह इस्लाम ने यह बताया कि जवाब में व'अलैकुमुस्सलाम कहा जाये

मुसाफ़ा व मुआनक़ा व बोसा व क़याम का बयान

हदीस् (1) इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने बराअ् बिन आज़िब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब दो मुसलमान मिलकर मुसाफ़ा करते हैं तो जुदा होने से पहले ही उन की मग्फ़िरत होजाती है।

और अबू दाऊद की रिवायत में है जब दो मुसलमान मिलें और मुसाफ़ा करें और अल्लाह की हम्द करें और इस्तिग़फ़ार करें तो दोनों की मग़फ़िरत होजायेगी।

हदीस् (2) बैहक़ी ने शोअ्बुल ईमान में बर्राअ् बिन आज़िब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स दोपहर से पहले चार रकअ्तें (नमाज़े चाश्त) पढ़े तो गोया उसने शबे क़द्र में पढ़ीं और दो मुसलमान मुसाफ़ा करें तो कोई गुनाह बाक़ी न रहेगा मगर झड़ जायेगा"।

हदीस् (3) सहीह बुख़ारी में क़तादा से रिवायत है कहते हैं मैंने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से दरयाफ़्त किया क्या अस्हाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में मुसाफ़ा का दस्तूर था कहा हाँ।

हदीस् (4) इमाम मालिक ने अता ख़ुरासानी से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "आपस में मुसाफ़ा करो दिल की कपट जाती रहेगी और बाहम हदिया करो महब्बत पैदा होगी और अदावत निकल जायेगी"।

हदीस् (5) इमाम अहमद ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब दो मुसलमानों ने मुलाक़ात की और एक ने दूसरे का हाथ पकड़ लिया (मुसाफ़ा किया) तो अल्लाह तआला के ज़िम्मे में यह हक़ है कि उनकी दुआ को हाज़िर करदे और हाथ जुदा न होने पायेंगे कि उनकी मग्फ़िरत होजायेगी और जो लोग जमअ् होकर अल्लाह तआला का ज़िक्र करते हैं और सिवाए रज़ा–ए–इलाही के उनका कोई मक़सद नहीं है तो आसमान से मुनादी निदा देता है कि खड़े होजाओ तुम्हारी मग्फ़िरत होगई तुम्हारे गुनाहों को नेकियों से बदल दिया गया"।

हदीस् (6) तिबरानी ने सुलैमान रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआलाअ अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "मुसलमान जब अपने मुसलमान भाई से मिले और हाथ पकड़ले (मुसाफ़ा करे) तो उन दोनों के गुनाह ऐसे गिरते हैं जैसे तेज़ आँधी के दिन में ख़ुश्क दरख़्त के पत्ते और उनके गुनाह बख़्श दिये जाते हैं अगर्चे समन्दर की झाग बराबर हों"।

हदीस् (7) इब्नुन्नज्जार ने इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो मुसलमान अपने भाई से मुसाफ़ा करे और किसी के दिल में दूसरे से अदावत न हो तो जुदा होने से पहले अल्लाह तआला दोनों के गुज़श्ता

गुनाहों को बख़्शदेगा। और जो शख़्स अपने भाई की तरफ़ नज़रे महब्बत से देखे उसके दिल या सीने में अदावत न हो तो निगाह लौटने से पहले दोनों के गुज़श्ता गुनाह बख़्श दिये जायेंगे"।

हदीस् (8) इमाम अहमद व तिर्मिज़ी ने अबूउमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "मरीज़ की पूरी अयादत यह है कि उसकी पेशानी या हाथ पर हाथ देकर पूछे कि मिज़ाज कैसा है और पूरी तहिय्यत यह है कि मुसाफ़ा किया जाये"।

हदीस् (9) तिर्मिज़ी ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि एक शख़्स ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह कोई शख़्स अपने भाई या दोस्त से मुलाक़ात करे तो क्या उसके लिये झुक जाये फ़रमाया "नहीं" उसने कहा तो क्या उससे चिपट जाये और बोसा ले फ़रमाया "नहीं" उसने कहा तो क्या उसका हाथ पकड़कर मुसाफ़ा करे फ़रमाया "हाँ"।

हदीस् (10) अबूदाऊद ने रिवायत की कि एक शख़्स ने अबूज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा क्या तुम लोग जब हुज़ूर से मिलते थे तो हुज़ूर तुमसे मुसाफ़ा करते थे उन्होंने कहा मैंने जब कभी मुलाक़ात की हुज़ूर ने मुसाफ़ा किया। एक दिन हुज़ूर ने आदमी भेजा मैं घर पर मौजूद न था जब आया तो मुझे मुत्तलअ् किया गया मैं हाज़िर हुआ उस वक़्त हुज़ूर तख़्त पर थे मुझे चिपटा लिया तो यह ख़ूब ही अच्छा था ख़ूब अच्छा।

हदीस् (11) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु तआला अन्हा के घर गया हुज़ूर ने हज़रत हसन रदियल्लाहु तआला अन्हु को दरयाफ़्त किया कि वह यहाँ हैं थोड़ी देर बाद वह दौड़ते हुए आये और हुज़ूर ने उन्हें गले लगाया और वह भी चिपट गये फिर फ़रमाया ऐ अल्लाह मैं उसे महबूब रखता हूँ तू भी उसे महबूब रख और उसे महबूब बनाले जो इसे महबूब रखे।

हदीस् (12) इमाम अहमद ने यअ्ला रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं हज़रत हसन व हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हुमा दौड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में आये हुज़ूर ने उन्हें चिपटा लिया और फ़रमाया "औलाद बुख़्ल और बुज़दिली का सबब होती है"।

हदीस् (13) तिर्मिज़ी ने उम्मुलमोमिनीन आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि ज़ैद इब्ने हारिस् रदियल्लाहु तआला अन्हु जब मदीने में आये हुज़ूर मेरे मकान में तशरीफ़ फ़रमा थे उन्होंने आकर दरवाज़ा खट'खटाया हुज़ूर कपड़ा घसीटते हुए बरहना यानी बिग़ैर चादर ओढ़े हुए चलदिये वल्लाह मैंने कभी इसके पहले हुज़ूर को बरहना यानी बिग़ैर चादर ओढ़े किसी के पास जाते नहीं देखा और न उसके बाद कभी इस तरह देखा हुज़ूर ने उन्हें गले लगाया और बोसा दिया।

हदीस् (14) अबूदाऊद ने उसैद बिन हुज़ैर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि एक अन्सारी शख़्स जिनकी तबीअत में मिज़ाह था वह बातें कर रहे थे और लोगों को हंसा रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक लकड़ी से उनकी कमर में कूंचा दिया उन्होंने हुज़ूर से अर्ज़ की मुझे उसका बदला दीजिये हुज़ूर ने फ़रमाया बदला लेलो उन्होंने कहा हुज़ूर क़मीस पहने हुए हैं मेरे बदन पर क़मीस नहीं है। हुज़ूर ने क़मीस हटादी वह चिपट गये। और पहलू को बोसा दिया और यह कहा कि मेरा मक़सद यही था। (बदला लेना मक़सद न था)

हदीस् (15) अबूदाऊद व बैहक़ी ने आमिर शअ्बी से मुरसलन रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जाफ़र बिन अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु का इस्तिक़बाल किया और उनसे मुआनक़ा फ़रमाया और दोनों आँखों के दरम्यान में बोसा दिया।

हदीस् (16) अबूदाऊद ने ज़ारेअ्' रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि जब क़बीलए अब्दुलक़ैस का वफ़्द हुज़ूर की ख़िदमत में आया था यह भी उस वफ़्द में थे यह कहते हैं जब हम मदीना में पहुँचे अपनी मन्ज़िलों से जल्दी जल्दी हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर होते और हुज़ूर के

दस्ते मुबारक और पाये मुबारक को बोसा देते।

हदीस् (17) अबूदाऊद ने उम्मुलमोमिनीन आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु तआला अन्हा जब हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर होतीं तो हुज़ूर उनकी तरफ़ खड़े होजाते और उनका हाथ पकड़ते और उनको बोसा देते फिर अपनी जगह बिठाते और जब हुज़ूर उनके यहाँ तशरीफ़ लेजाते तो वह खड़ी हो जातीं और हुज़ूर का हाथ पकड़ लेतीं और बोसा देतीं और अपनी जगह पर बिठातीं।

हदीस् (18) अबूदाऊद ने बर्रा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि जब अबूबक्र सिद्दीक़ रदियल्लाहु तआला अन्हु शुरूअ् शुरूअ् मदीना में आये थे मैं उनके साथ उनके यहाँ गया। हज़रत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा बुख़ार में लेटी हुई थीं हज़रत अबूबक्र उनके पास गये और पूछा बेटी कैसी हो और उनके रुख़सारा पर बोसा दिया।

हदीस् (19) तिर्मिज़ी ने सुफ़यान इब्ने अस्साल रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि दो यहूदी हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर हुए और यह सुवाल किया कि खुली हुई नौ निशानियाँ क्या हैं हुज़ूर ने फ़रमाया "(1)अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो (2)और चोरी न करो (3)और ज़िना न करो (4)और जिस जान को अल्लाह ने हराम किया है उसे ना'हक़ क़त्ल न करो (5)और जो जुर्म से बरी हो उसे बादशाह के पास क़त्ल के लिये न ले जाओ (6)और जादू न करो (7)और सूद न खाओ (8)और अफ़ीफ़ा (पाक दामन औरत) पर ज़िना की तोहमत न धरो (9)और लड़ाई के दिन मुँह फेरकर न भागो और ख़ास तुम यहूदी हफ़्ते के मुतअल्लिक़ हद से तजावुज़ न करो जब हुज़ूर ने यह फ़रमाया तो उन्होंने हुज़ूर के हाथों और क़दमों को बोसा दिया।

हदीस् (20) अबूदाऊद ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कहते हैं कि हम हुज़ूर के क़रीब गये और हाथ को बोसा दिया।

हदीस् (21) अबूदाऊद ने अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवागत की कहते हैं कि हम हुज़ूर के क़रीब गये और हाथ को बोसा दिया।

हदीस् (21) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि जब बनी क़ुरैज़ा (यहूदियों के एक क़बीले का नाम) अपने क़िले से सअ्द इब्ने मआज़ रदियल्लाहु तआला अन्हु के हुक्म पर उतरे हुज़ूर ने सअ्द रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास आदमी भेजा और वहाँ से क़रीब में थे जब मस्जिद के क़रीब आगये हुज़ूर ने अन्सार से फ़रमाया अपने सरदार के पास उठ कर जाओ।

हदीस् (22) बैहक़ी ने शोअ्बुल ईमान में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठकर हमसे बातें करते जब हुज़ूर खड़े होते हम भी खड़े होजाते और इतनी देर खड़े रहते कि हुज़ूर को देख लेते कि बाज़ अज़वाज मुतहहरात के मकान में तशरीफ़ लेगये।

हदीस् (23) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसकी यह खुशी हो कि लोग मेरी तअ्ज़ीम के लिये खड़े रहें वह अपना ठिकाना जहन्नम में बनाये।

हदीस् (24) अबूदाऊद ने अबू'उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम असा पर टेक लगाकर बाहर तशरीफ़ लाये हम हुज़ूर के लिये खड़े होगये। इरशाद फ़रमाया "इस तरह न खड़े हुआ करो जैसे अजमी खड़े हुआ करते हैं कि उनमें का बाज़ बाज़ दूसरे की तअ्ज़ीम किया करता है" यानी अज्मियों का खड़े होने में जो तरीक़ा है वह क़बीह व मज़मूम है उस तरह खड़े होने की मुमानअत है वह यह है कि उमरा बैठे हुए होते हैं और कुछ लोग तअ्ज़ीम की वजह से उनके क़रीब खड़े रहते हैं। दूसरी सूरत अदमे

जवाज़ की यह है कि वह खुद पसन्द करता हो कि मेरे लिये लोग खड़े हुआ करें और कोई खड़ा न हो तो बुरा माने जैसाकि हिन्दुस्तान में अब भी बहुत जगह रिवाज है कि अमीरों, रईसों, जमीनदारों के लिये उनकी रिआया खड़ी होती है न खड़ी हो तो ज़द व कोब (मार पिटाई) तक नोबत आती है ऐसे ही मुतकब्बिरीन व मुतजब्बिरीन के मुतअल्लिक़ मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हु वाली हदीस में वईद आई है और अगर उनकी तरफ़ से यह न हो बल्कि यह खड़ा होने वाला उसको मुस्तहक़ तअ्ज़ीम समझकर स्वाब के लिये खड़ा होता है या तवाज़ोअ् के तौर पर किसी के लिये खड़ा होता है तो यह ना'जाइज़ नहीं बल्कि मुस्तहब है।

मसअ्ला.1:— मुसाफ़ा सुन्नत है और उसका स्वाब तवातुर से है और अहादीस् में इसकी बड़ी फज़ीलत आई है एक हदीस् यह है कि जिसने अपने मुसलमान भाई से मुसाफ़ा किया और हाथ को हरकत दी उसके तमाम गुनाह गिरजायेंगे जितनी बार मुलाक़ात हो हर बार मुसाफ़ा करना मुस्तहब है मुतलकन मुसाफ़े का जवाज़ यह बताता है कि नमाज़े फज्र व अस्र के बाद जो अकस्र जगह मुसाफ़ा करने का मुसलमानों में रिवाज है यह भी जाइज़ है और बाज़ किताबों में जो इसको बिदअत कहा गया उससे मुराद बिदअते हसना है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.2:— जिस तरह फज्र व अस्र के बाद मुसाफ़ा करना जाइज़ है दूसरी नमाज़ों के बाद भी मुसाफ़ा करना जाइज़ है क्योंकि अस्ल मुसाफ़ा करना जाइज़ है तो किसी वक़्त भी किया जाये जाइज़ ही है जब तक शरअ् मुतह्हर से मुमानअत साबित न हो। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.3:— मुसाफ़ा यह है कि एक शख़्स अपनी हथेली दूसरे की हथेली से मिलाये फ़क़त उंगलियों के छूने का नाम मुसाफ़ा नहीं है। सुन्नत यह है कि दोनों हाथों से मुसाफ़ा किया जाये और दोनों के हाथों के मा'बैन कपड़ा वग़ैरा कोई चीज़ हाइल न हो। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.4:— मुसाफ़े का एक तरीक़ा वह है जो बुख़ारी शरीफ़ वग़ैरा में अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक उनके दोनों हाथों के दरमियान में था यानी हर एक का एक हाथ दूसरे के दोनों हाथों के दरमियान में हो, दूसरा तरीक़ा जिस को बाज फुक़हा ने बयान किया और उसकी निस्बत भी वह कहते हैं कि हदीस् से साबित है वह यह कि हर एक अपना दाहिना हाथ दूसरे के दाहिने से और बायाँ बायें से मिलाये और अंगूठे को दबाये कि अंगूठे में एक रग है कि उसके पकड़ने से महब्बत पैदा होती है।

मसअ्ला.5:— मुसाफ़ा मसनून यह है कि जब दो मुसलमान बाहम मिलें तो पहले सलाम किया जाये इसके बाद मुसाफ़ा करें रुख़्सत के वक़्त भी उमूमन मुसाफ़ा करते हैं उसके मसनून होने की तस्रीह नज़रे फ़क़ीर से नहीं गुज़री मगर अस्ल मुसाफ़ा का जवाज़ हदीस् से साबित है तो इसको भी जाइज़ ही समझा जायेगा।

मसअ्ला.6:— मुआनक़ा करना (गले मिलना) भी जाइज़ है जबकि ख़ौफ़े फ़ितना और अन्देशाए शहवत न हो। चाहिए कि जिससे मुआनक़ा किया जाये वह सिर्फ़ तहबन्द या फ़क़त पाजामा पहने हुए न हो बल्कि कुर्ता या अचकन भी पहने हो या चादर ओढ़े हो यानी कपड़ा हाइल हो। (जैलई) हदीस् से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुआनक़ा किया।

मसअ्ला.7:— बाद नमाज़े ईदैन मुसलमानों में मुआनक़ा का रिवाज है और यह भी इज़्हारे खुशी का एक तरीक़ा है। यह मुआनक़ा भी जाइज़ है जबकि महल्ले फ़ितना न हो मस्लन अमरद खुबसूरत से मुआनक़ा करना कि यह महल्ले फ़ितना है।

मसअ्ला.8:— बोसा देना अगर शहवत के साथ हो तो ना'जाइज़ है और इकराम व तअ्ज़ीम के लिये हो तो हो सकता है। पेशानी पर बोसा भी इन्हीं शराइत के साथ जाइज़ है हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रदियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दोनों आँखों के दरम्यान को बोसा दिया और सहाबा व ताबेईन रदियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन से भी बोसा देना साबित है।

मसअ्ला.9:– बाज़ लोग मुसाफ़ा करने के बाद खुद अपना हाथ चूम लिया करते हैं यह मकरूह है ऐसा नहीं करना चाहिए। (जैलई)

मसअ्ला.10:– आ़लिमे दीन और बादशाहे आ़दिल (इन्साफ करने वाला मुसलमान बादशाह) के हाथ को बोसा देना जाइज़ है बल्कि उसके क़दम चूमना भी जाइज़ है बल्कि अगर किसी ने आ़लिमे दीन से यह ख़्वाहिश की कि आप अपना हाथ या क़दम मुझे दीजिये कि मैं बोसा दूँ तो उसके कहने के मुताबिक़ वह आ़लिम अपना हाथ पाँव बोसा के लिये उसकी तरफ़ बढ़ा सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– औरत ने औरत के मुँह या रुख़्सारा को ब'वक़्ते मुलाक़ात या ब'वक़्ते रुख़्सत बोसा दिया यह मकरूह है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– आ़लिम या किसी बड़े के सामने ज़मीन को बोसा देना ह़राम है जिसने ऐसा किया और जो उस पर राज़ी हुआ दोनों गुनाहगार हुए। (ज़ैलई)

मसअ्ला.13:– बोसे की छः क़िस्में हैं (1)बोसाए रह़मत जैसे वालिदैन का औलाद को बोसा देना (2)बोसाए शफ़क़त जैसे औलाद का वालिदैन को बोसा देना (3)बोसाए मह़ब्बत जैसे एक शख़्स अपने भाई की पेशानी को बोसा दे (4)बोसाए तहिय्यत जैसे ब'वक़्ते मुलाक़ात एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को बोसा दे (5)बोसाए शहवत जैसे मर्द औरत को बोसा दे और (6)एक क़िस्म बोसाए दियानत है जैसे हजरे असवद को बोसा। (ज़ैलई)

मसअ्ला.14:– मुसह़फ़ यानी कुर्आन मजीद को बोसा देना भी सह़ाबाए'किराम के फ़ेअ्ल से साबित है ह़ज़रत उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु रोज़ाना सुबह़ को बोसा देते थे और कहते यह मेरे रब का अ़हद और उसकी किताब है और ह़ज़रत उ़स्मान रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु भी मुसह़फ़ को बोसा देते और चेहरे से मस करते। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.15:– सजदए तहिय्यत यानी मुलाक़ात के वक़्त बतौर इकराम (ताजीम के लिये) किसी को सजदा करना ह़राम है और अगर ब'क़स्दे इ़बादत हो तो सजदा करने वाला काफ़िर है कि ग़ैर खुदा की इ़बादत कुफ़्र है। (रद्दुल'मुह़तार)

मसअ्ला.16:– बादशाह को तहिय्यत की वजह से सजदा करना या उसके सामने ज़मीन को बोसा देना कुफ़्र नहीं मगर यह शख़्स गुनहगार हुआ और अगर इ़बादत के तौर पर सजदा किया तो कुफ़्र है आ़लिम के पास आने वाला भी अगर ज़मीन को बोसा दे यह भी ना'जाइज़ व गुनाह है करने वाला और उस पर राज़ी होने वाला दोनों गुनहगार हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.17:– मुलाक़ात के वक़्त झुकना मनअ़ है(आलमगीरी)यानी इतना झुकना कि रुकूअ़ की ह़द तक होजाये।

मसअ्ला.18:– आने वाले की तअ़ज़ीम के लिये खड़ा होना जाइज़ बल्कि मन्दूब है जब कि ऐसे की तअ़ज़ीम के लिये खड़ा हो जो मुस्तह़क़े तअ़ज़ीम है मस्लन आ़लिमे दीन की तअ़ज़ीम को खड़ा होना। कोई शख़्स मस्जिद में बैठा है या कुर्आन मजीद पढ़ रहा है और ऐसा शख़्स आगया जिस की तअ़ज़ीम करनी चाहिए तो इस ह़ालत में भी तअ़ज़ीम को खड़ा हो सकता है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुह़तार)

मसअ्ला.19:– जो शख़्स यह पसन्द करता हो कि लोग मेरे लिये खड़े हों उसकी यह बात ना'पसन्द व मज़मूम है। (रद्दुल'मुह़तार) अह़ादीस् में उसी क़याम की मज़म्मत है या उस क़याम को बुरा बताया गया है जिसका अ़जम में रिवाज है आने वाले के लिये खड़ा होना उस क़यामे ममनूअ़ में दाख़िल नहीं। क़यामे मीलाद शरीफ़ की मुमानअ़त पर इन अह़ादीस् से दलील लाना जिहालत है।

मसअ्ला.10:– जहाँ यह अन्देशा हो कि तअ़ज़ीम के लिये अगर खड़ा न हो तो उसके दिल में बुग़्ज़ व अ़दावत पैदा होगा ख़ुसूसन ऐसी जगह जहाँ क़याम का रिवाज है तो क़याम करना चाहिए ताकि एक मुस्लिम को बुग़्ज़ व अ़दावत से बचाया जाये। (रद्दुल'मुह़तार)

छींक और जमाही का बयान

ह़दीस् (1) सह़ीह़ बुख़ारी में अबूहुरैरा रदियल्ललाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह तआ़ला को छींक पसन्द है और जमाही ना'पसन्द है जब कोई शख़्स छींके और अल्ह़म्दु लिल्लाह कहे तो जो मुसलमान उसको सुने उस पर यह ह़क़ है कि यर'ह़मुकल्लाह कहे और जमाही शैतान की तरफ़ से है जब किसी को जमाही आये तो जहाँ तक

होसके उसे दफ़अ् करे क्यं के जब जमाही लेता है तो शैतान हँसता है यानी खुश होता है क्योंकि यह कस्ल (सुस्ती) और ग़फ़लत की दलील है ऐसी चीज़ को शैतान पसन्द करता है और सहीह मुस्लिम की रिवायत में है कि जब वह (हा) कहता है शैतान हँसता है।

हदीस् (2) सहीह बुख़ारी में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब किसी को छींक आये तो अल्हम्दु लिल्लाह कहे और उस का भाई या साथ वाला यरहमु'कल्लाह कहे जब यह यरहमु'कल्लाह कहले तो छींकने वाला या उस के जवाब में यह कहे यहदीकुमुल्लाहु व युसलिहु बा लकुम"

तिर्मिज़ी और दारमी की रिवायत में अबू'अय्यूब रदियल्लाहु तआला अन्हु से है कि जब छींक आये तो यह कहे अल्हम्दु लिल्लाह अला कुल्लि हालिन।

हदीस् (3) तिबरानी ने अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब किसी को छींक आये तो 'अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिलआलमीन' कहे।

हदीस् (4) तिबरानी इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर ने फ़रमाया "जब किसी को छींक आये और वह अल्हम्दु लिल्लाह कहे तो फ़िरिश्ते कहते हैं रब्बिलआलमीन और अगर वह रब्बिलआलमीन कहता है तो फ़िरिश्ते कहते हैं रहिमा्कल्लाह।

हदीस् (5) तिर्मिज़ी ने नाफ़ेअ् से रिवायत की कि एक शख़्स को इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा के पास छींक आई उसने कहा अल्हम्दु लिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह इब्ने उमर ने फ़रमाया यह तो मैं भी कहता हूँ कि अल्हम्दु लिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मगर उसके कहने की यह जगह नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें यह तअ्लीम नहीं दी, हमें यह तअ्लीम दी है कि इस मौके पर अल्हम्दु लिल्लाह अला कुल्लि हाल कहें।

हदीस् (6) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने बिलाल बिन यसाफ़ से रिवायत की कहते हैं हम सालिम बिन उबैद के पास थे एक शख़्स को छींक आई उसने कहा अस्सलामु अलैकुम सालिम ने कहा व अलैका व अला उम्मिका उसे इसका रंज हुआ (कि मुझे ऐसा जवाब क्यों दिया) अबू दाऊद की रिवायत में है कि उसने कहा मेरी माँ का आपने ज़िक्र न किया होता, न अच्छा न बुरा, तो अच्छा होता सालिम ने कहा मैंने वही कहा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक शख़्स को छींक आई उसने कहा अस्सलामु अलैकुम हुज़ूर ने फ़रमाया व अलैका व अला उम्मिका जब किसी को छींक आये तो कहे अल्लहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन और जवाब देने वाला कहे यरहमु'कल्लाह और वह कहे यग़फ़िरुल्लाहु ली व लकुम।

हदीस् (7) सहीह बुख़ारी मुस्लिम में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास दो शख़्सों को छींक आई आपने एक को जवाब दिया और दूसरे को नहीं दिया उसने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हुज़ूर ने उसको जवाब दिया और मुझे नहीं दिया इरशाद फ़रमाया उसने अल्हम्दु लिल्लाह कहा और तूने नहीं कहा।

हदीस् (8) सहीह मुस्लिम में अबू'मूसा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि जब कोई छींके और अलहम्दु लिल्लाह कहे तो उसे जवाब दो और अल्हम्दु लिल्लाह न कहे तो उसे जवाब मत दो।

हदीस् (9) सहीह मुस्लिम में सलमा बिन अकवअ् रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक शख़्स को छींक आई हुज़ूर ने उसके जवाब में यरहमु'कल्लाह कहा फिर दोबारा छींक आई तो हुज़ूर ने फ़रमाया उसे ज़ुकाम होगया है और तिर्मिज़ी की रिवायत में है कि तीसरी मरतबा छींक आई तब हुज़ूर ने ऐसा फ़रमाया यानी जब बार बार छींक आये तो जवाब की हाजत नहीं।

हदीस (10) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को छींक आती तो मुँह को हाथ या कपड़े से छुपालेते और आवाज़ को परस्त करते।

हदीस (11) सहीह मुस्लिम में अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि जब किसी को जमाही आये तो मुँह पर हाथ रखले क्योंकि शैतान मुँह में घुस जाता है।

हदीस (12) तिबरानी औसत में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया सच्ची बात वह है कि उस वक़्त छींक आजाये और हकीम की रिवायत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से यह है कि जब कोई बात की जाये और छींक आजाये तो वह हक़ है और अबू नईम की रिवायत उन्हीं से है कि दुआ के वक़्त छींक आजाना सच्चा गवाह है।

हदीस (13) बैहक़ी ने शोअ्बुल ईमान में उबादा बिन सामित व शद्दाद बिन औस व वासिला रदियल्लाहु तआला अन्हुम से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया "जब किसी को डकार या छींक आई तो आवाज को बलन्द न करे कि शैतान को यह बात पसन्द है कि उनमें आवाज़ बलन्द की जाये"।

मसअ्ला.1:– छींक का जवाब देना वाजिब है जबकि छींकने वाला अल्हम्दु लिल्लाह कहे और उस का जवाब भी फ़ौरन देना और इस तरह जवाब देना कि वह सुनले वाजिब है जिस तरह सलाम के जवाब में है यहाँ भी है। (दुर्रेमुख्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.2:– छींक का जवाब एक मरतबा वाजिब है दोबारा छींक आई और उसने अल्हम्दु लिल्लाह कहा तो दो बारा जवाब वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– जिसको छींक आये उसे अल्हम्दु लिल्लाह कहना चाहिए और बेहतर यह है कि अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहे जब उसने अल्हम्दु लिल्लाह कहा तो सुनने वाले पर उसका जवाब देना वाजिब होगया और हम्द न करे तो जवाब नहीं। एक मज्लिस में कई मरतबा किसी को छींक आई तो सिर्फ़ तीन बार तक जवाब देना है उसके बाद उसे इख्तियार है कि जवाब दे या न दे। (बज़ाज़िया)

मसअ्ला.4:– जिसको छींक आये वह यह कहे अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन या अल्हम्दु लिल्लाहि अला कुल्लि हालिन और उसके जवाब में दूसरा शख़्स यूँ कहे यरहमु कल्ला फिर छींकने वाला यह कहे यग्फ़िरुल्लाहु लना व लकुम (अल्लाह तआला हमारी और तुम्हारी मग्फ़िरत फरमाये)) या यह कहे यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बा लकुम (अल्लाह तआला तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारी इस्लाह फरमाये) इसके सिवा दूसरी बात न कहे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– औरत को छींक आई अगर वह बूढ़ी है तो मर्द उसका जवाब दे। अगर जवान है तो इस तरह जवाब दे कि वह न सुने। मर्द को छींक आई और औरत ने जवाब दिया अगर जवान है तो मर्द उसका जवाब अपने दिल में दे और बूढ़ी है तो ज़ोर से जवाब दे सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– खुतबे के वक़्त किसी को छींक आई तो सुनने वाला उसको जवाब न दे। (खानिया)

मसअ्ला.7:– काफिर को छींक आई और उसने अल्हम्दु लिल्लाह कहा तो जवाब में यहदी कल्लाह कहा जाये। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.8:– छींकने वाले को चाहिए कि ज़ोर से हम्द कहे ताकि कोई सुने और जवाब दे। छींक का जवाब बाज़ हाज़ेरीन ने देदिया तो सब की तरफ़ से होगया और बेहतर यह है कि सब हाज़ेरीन जवाब दें। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.9:– दीवार के पीछे किसी को छींक आई और उसने अल्हम्दु लिल्लाह कहा तो सुनने वाला उसका जवाब दे। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.10:– छींकने वाले से पहले ही सुनने वाले ने अल्हम्दु लिल्लाह कहा तो एक हदीस में आया है कि यह शख़्स दांतों और कानों के दर्द और तुख़्मा (बद हज़मी) से महफ़ूज़ रहेगा। और एक

हदीस् में है कि कमर के दर्द से महफ़ूज़ रहेगा। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.11:– छींक के वक्त सर झुकाले और मुँह छुपाले और आवाज़ को पस्त करे। छींक की आवाज़ बलन्द करना हिमाक़त है। (रद्दुलमुहतार)

फ़ायदा :– हदीस में है कि बात के वक्त छींक आजाना शाहिदे अद्ल है।

मसअ्ला.12:– बहुत लोग छींक को बदफ़ाली ख़याल करते हैं मसलन किसी काम के लिये जा रहा है और किसी को छींक आगई तो समझते हैं कि अब वह काम अन्जाम नहीं पायेगा ये जिहालत है कि बदफ़ाली कोई चीज़ नहीं और ऐसी चीज़ को बदफ़ाली कहना जिसको हदीस में शाहिदे अद्ल फ़रमाया सख़्त ग़लती है।

ख़रीद व फ़रोख़्त का बयान

(ख़रीद व फ़रोख़्त का तफ़सीली बयान ग्यारहवें हिस्से में गुज़र चुका है)

मसअ्ला.1:– जब तक ख़रीद व फ़रोख़्त के मसाइल मअ्लूम न हों कि कौनसी बैअ् जाइज़ है और कौन नाजाइज़ उस वक्त तक तिजारत न करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– इन्सान के पाख़ाने की बैअ् करना ममनूअ् है गोबर का बेचना ममनूअ् नहीं। इन्सान के पाख़ाना में मिट्टी या राख मिलकर ग़ालिब होजाये जैसे खाद में मिट्टी का ग़ल्बा हो जाता है तो बैअ् भी जाइज़ है और उसको काम में लाना मसलन खेत में डालना भी जाइज़ है। (हिदाया)

मसअ्ला.3:– यह मअ्लूम है कि यह फ़ुलाँ शख़्स की कनीज़ है और दूसरा शख़्स उसे बैअ् कर रहा है और यह बाइअ् (बेचने वाला) कहता है कि उसने मुझे बैअ् का वकील किया है या उससे मैंने ख़रीद ली है या उसने मुझे हिबा करदी है तो उसको ख़रीदना और उससे वती करना जाइज़ है जबकि यह शख़्स सिक़ह हो या ग़ालिब गुमान यह हो कि सच कहता है और अगर ग़ालिबे गुमान यह है कि वह इस ख़बर में झूटा है तो उसके लिये ऐसा करना जाइज़ नहीं और अगर उसको ख़ुद इसका इल्म नहीं कि वह फ़ुलाँ की है मगर उस बाइअ् ही ने बताया कि यह फ़ुलाँ की है और मुझे उसने बैअ् का वकील किया है और यह बाइअ् सिक़ह है या ग़ालिब गुमान यह है कि सच कहता है तो उसको ख़रीदना वग़ैरा जाइज़ है। (हिदाया) इसी तरह दूसरी अशया (चीज़ों) के मुतअल्लिक़ यह इल्म है कि फ़ुलाँ की है और बेचने वाला कहता है कि उसने मुझे बैअ् का वकील किया है मैंने ख़रीदली है या उसने हिबा करदी है तो उसको ख़रीदना और उस चीज़ से नफ़अ् उठाना इन्हीं शराइत के साथ जाइज़ है।

मसअ्ला.4:– जो शख़्स चीज़ को बैअ् कर रहा है उसने यह नहीं बताया कि यह चीज़ मेरे पास उस तरह आई और मुश्तरी (ख़रीदने वाले) को मअ्लूम है कि यह चीज़ फ़ुलां की है तो जब तक मालूम न होजाये कि यह चीज़ उसको यूँ मिली है उसे न ख़रीदे। मुश्तरी को यह नहीं मालूम है कि चीज़ किसी दूसरे शख़्स की है तो बेचने वाले से ख़रीदना जाइज़ है कि उसके क़ब्ज़े में होना उसकी मिल्क की दलील है और उसका मुआरिज पाया नहीं गया फिर उसकी कोई वजह नहीं कि ख़्वाह म'ख़्वाह दूसरे की मिल्क का तवह्हुम किया जाये।

हाँ अगर वह चीज़ ऐसी है कि उस जैसे शख़्स की नहीं होसकती मस्लन वह चीज़ बेश क़ीमत है और यह शख़्स ऐसा नहीं मअ्लूम होता कि वह उसकी होगी या जाहिल के पास किताब है और उसके बा'वजूद उसने ख़रीदली है तो ख़रीदना जाइज़ है क्योंकि ख़रीदार ने दलीले शरई पर एअ्तिमाद करके ख़रीदा है यानी क़ब्ज़ा को मिल्क की दलील क़रार दिया है। (हिदाया)

मसअ्ला.5:– मुश्तरक चीज़ में जो उसका हिस्सा है उसे न बेचे जब तक शरीक को मुत्तलअ् न करदे अगर वह शरीक ख़रीदले फ़बिहा (तो ठीक) वरना जिसके हाथ चाहे बेच डाले इसका मतलब यह है कि शरीक को मुत्तलअ् करना मुस्तहब है और बिग़ैर मुत्तलअ् किये बेचना मकरूह है यह मतलब नहीं कि बिग़ैर इत्तिलाअ् बैअ् ही ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– अगर बाज़ार वाले ऐसे लोगों से माल ख़रीदते हैं जिनका ग़ालिब माल हराम है और

उनमें सूद और उ़क़ूदे फ़ासिदा जारी हैं उनसे ख़रीदने में तीन सूरतें हैं जिस चीज़ के मुतअ़ल्लिक़ गुमान ग़ालिब यह है कि ज़ुल्म के तौर पर किसी की चीज़ बाज़ार में लाकर बेच गया ऐसी चीज़ ख़रीदी न जाये। **दूसरी सूरत** यह है कि माले ह़राम बिऐनिही मौजूद है मगर माले हलाल में इस तरह मिल गया कि जुदा करना ना'मुम्किन है इस त़रह मिलजाने से उसकी मिल्क होगई मगर उस को भी ख़रीदना न चाहिए जब तक बाइअ़् उस मालिक को एवज़ देकर राज़ी न करले और अगर ख़रीद ही ली तो मुश्तरी की मिल्क होजायेगी और कराहत रहेगी **तीसरी सूरत** यह है कि मअ्लूम है कि जिसको ग़सब किया था या चोरी वग़ैरा का माल था वह बिऐनिही बाक़ी न रहा तो दुकानदार से चीज़ ख़रीदनी जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:— ताजिर अपनी तिजारत में इस त़रह मशग़ूल न हो कि फ़राइज़ फ़ौत होजायें बल्कि जब नमाज़ का वक़्त आजाये तो तिजारत छोड़कर नमाज़ को चला जाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:— नजिस कपड़े को बेच सकता है मगर जब यह गुमान हो कि ख़रीदार इसमें नमाज़ पढ़ेगा तो उसको ज़ाहिर करदे कि यह कपड़ा नापाक है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:— जितने में चीज़ ख़रीदी बाइअ़् को उससे कुछ ज़्यादा दिया तो जब तक यह न कहदे कि यह ज़्यादती तुम्हारे लिये ह़लाल है यह कि मैंने तुम्हें मालिक करदिया इस ज़्यादती को लेना जाइज़ नहीं। (आलमगीरी) ख़रीदने के बाद बहुत से लोग रूख लेते हैं कि मबीअ़् जितनी तै हुई है उससे कुछ ज़्यादा लेते हैं बिग़ैर बाइअ़् की रज़ा'मन्दी के यह ना'जाइज़ है और रूख मांगना भी न चाहिए कि यह एक क़िस्म का सुवाल है और बिग़ैर ह़ाजत सुवाल की इजाज़त नहीं।

मसअ्ला.10:— गोश्त या मछली या फल वग़ैरा ऐसी चीज़ जो जल्द ख़राब होजाने वाली के लिये किसी के हाथ बेची और मुश्तरी ग़ाइब होगया और बाइअ़ को अन्देशा है कि उसके इन्तिज़ार में चीज़ ख़राब होजायेगी ऐसी सूरत में उसको दूसरे के हाथ बेच सकता है और जिसको ऐसा मअ्लूम है वह ख़रीद सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:— जो शख़्स बीमार है उसका बाप या बेटा बिग़ैर उसकी इजाज़त के ऐसी चीज़ें ख़रीद सकता है जिसकी मरीज़ को ह़ाजत है मस्लन दवा वग़ैरा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:— अच्छे साफ़ गेहूँ में ख़ाक, धूल मिलाकर बेचना ना'जाइज़ है। अगर्चे वहाँ मिलाने की आ़दत हो। (आलमगीरी) इसी त़रह दूध में पानी मिलाकर बेचना ना'जाइज़ है।

मसअ्ला.13:— जिस जगह बाज़ार में रोटी गोश्त का नर्ख़ मुक़र्रर है कि ह़िसाब से फ़रोख़्त होती है किसी ने ख़रीदी बाइअ़् ने कम दी मगर ख़रीदार को उस वक़्त यह नहीं मअ्लूम हुआ कि कम है बाद को मअ्लूम हुआ तो जो कुछ कमी है वसूल कर सकता है जबकि मुश्तरी को भी नर्ख़ मअ्लूम है और अगर ख़रीदार परदेसी है वहाँ का नहीं है तो रोटी में जो कमी है वसूल कर सकता है गोश्त में जो कमी है वसूल नहीं कर सकता क्योंकि रोटी का नर्ख़ क़रीब सब शहरों में यकसाँ होता है और गोश्त में यह बात नहीं। (ज़ैलई)

मसअ्ला.14:— लोहे, पीतल वग़ैरा की अंगूठी जिसका पहनना मर्द व औ़रत दोनों के लिये ना'जाइज़ है उसका बेचना मकरूह है। (आलमगीरी) इसी त़रह अफ़ीम वग़ैरा जिसका खाना ना'जाइज़ है ऐसों के हाथ फ़रोख़्त करना जो खाते हों ना'जाइज़ है कि उसमें गुनाह पर इआनत (मदद) है।

मसअ्ला.15:— मुसलमान का काफ़िर पर दैन है उसने शराब बेचकर उसके स्मन से दैन अदा किया मुस्लिम के इल्म में है कि यह रुपया शराब का स्मन है उसका लेना जाइज़ है क्योंकि काफ़िर का काफ़िर के हाथ शराब बेचना जाइज़ है और स्मन में जो रूपया उसे मिला वह जाइज़ है लिहाज़ा मुस्लिम अपने दैन में ले सकता है और मुस्लिम ने शराब बेची तो चूंकि यह बैअ़् ना'जाइज़ है उसका स्मन भी ना'जाइज़ है उस रूपये को दैन में लेना ना'जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार) यही हुक्म हर ऐसी सूरत में है जहाँ यह मअ्लूम है कि यह माल बिऐनिही ख़बीस् व ह़राम है तो उसको

लेना ना'जाइज़ है मसलन मअ़लूम है कि चोरी या ग़सब का माल है।

मसअ्ला.16:– रन्डियों को नाच, गाने की जो उजरत मिली है यह भी ख़बीस है जिस किसी के दैन या किसी मुतालबे में दे उसका लेना ना'जाइज़ है जिस शख़्स ने ज़ुल्म या रिश्वत के ज़रिये माल हासिल किया हो मरने के बाद उसका माल वुरसा को न लेना चाहिए कि यह माल हराम है बल्कि वुरसा यह करें कि अगर मअ़लूम है कि यह माल फुलाँ का है तो जिससे मूरिस ने हासिल किया है उसे वापस देदें और मअ़लूम न हो कि किससे लिया है तो फ़ुक़रा पर तसद्दुक़ करदें कि ऐसे माल का यही हुक्म है। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.17:– पन्सारी को रूपया देते हैं और यह कह देते हैं कि यह रूपया सौदे में कटता रहेगा या देते वक़्त यह शर्त न हो कि सौदे में कट जायेगा मगर मअ़लूम है कि यूँही किया जायेगा तो इस तरह रूपये देना मम्नूअ़ है कि इस क़र्ज़ से यह नफ़अ़ हुआ कि इसके पास रहने में उसके ज़ाइअ़ होने का एहतिमाल था अब यह एहतिमाल जाता रहा और क़र्ज़ से नफ़अ़ उठाना ना'जाइज़ है।

मसअ्ला.18:– एह़तिकार ममनूअ़ है एह़तिकार के यह मअ़ना हैं कि खाने की चीज़ को इस लिए रोकना कि गिराँ होने पर फ़रोख़्त करेगा अहादीस़ में इस बारे में सख़्त वईदें आई हैं एक हदीस में यह है "जो चालीस रोज़ तक एह़तिकार करेगा अल्लाह तआ़ला उसको जुज़ाम व अफ़लास में मुब्तला करेगा"। दूसरी ह़दीस में यह है कि "वह अल्लाह से बरी और अल्लाह उससे बरी" तीसरी ह़दीस यह है कि "उस पर अल्लाह और फ़िरिश्तों और तमाम आदमियों की लअ़नत अल्लाह तआ़ला "न उसके नफ़्ल क़बूल करेगा न फ़र्ज़" एह़तिकार इन्सान के खाने की चीज़ों में भी होता है मसलन अनाज और अंगूर, बादाम वग़ैरा और जानवरों के चारे में भी होता है जैसे घास भूसा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.19:– एह़तिकार वही कहलायेगा जबकि उसका ग़ल्ला रोकना वहाँ वालों के लिए मुज़िर हो यानी उसकी वजह से गिरानी होजाये या यह सूरत हो कि सारा ग़ल्ला उसी के क़ब्ज़े में है इस के रोकने से क़ह़त पड़ने का अन्देशा है दूसरी जगह ग़ल्ला दस्तयाब न होगा। (हिदाया)

मसअ्ला.20:– एह़तिकार करने वाले को क़ाज़ी यह हुक्म देगा कि अपने घरवालों के ख़र्च के लाइक़ ग़ल्ला रखले बाक़ी फ़रोख़्त कर डाले अगर वह शख़्स क़ाज़ी के इस हुक्म के ख़िलाफ़ करे यानी ज़ाइद ग़ल्ला न बेचे तो क़ाज़ी उसको मुनासिब सज़ा देगा और उसकी ह़ाजत से ज़्यादा जितना ग़ल्ला है क़ाज़ी ख़ुद बैअ़ कर देगा क्योंकि ज़ररे आम से बचने की यही सूरत है। (हिदाया)

मसअ्ला.21:– बादशाह को रिआ़या की हलाकत का अन्देशा हो तो एह़तिकार करने वालों से ग़ल्ला लेकर रिआ़या पर तक़सीम करदे फिर जब उनके पास ग़ल्ला होजाये तो जितना लिया है वापस देदें।

मसअ्ला.22:– अपनी ज़मीन का ग़ल्ला रोक लेना एह़तिकार नहीं हाँ अगर यह शख़्स गिरानी या क़ह़त का मुन्तज़िर है तो इस बुरी नियत की वजह से गुनहगार होगा और इस सूरत में भी अगर आ़म लोगों को ग़ल्ला की ह़ाजत हो और ग़ल्ला दस्तयाब न होता हो तो क़ाज़ी उसे बैअ़ करने पर मजबूर करेगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.23:– दूसरी जगह से ग़ल्ला ख़रीदकर लाया अगर वहाँ से उ़मूमन यहाँ ग़ल्ला आता है तो उसका रोकना भी एह़तिकार है और अगर वहाँ से यहाँ ग़ल्ला लाने की आ़दत जारी न हो तो रोकना एह़तिकार नहीं। मगर इस सूरत में भी बेचडालना मुस्तह़ब है कि रोकने में यहाँ भी एक क़िस्म की कराहत है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.24:– ह़ाकिम को यह न चाहिए कि अश्या का निर्ख़ मुक़र्रर करदे ह़दीस़ में है कि लोगों ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह निर्ख़ गिराँ होगया हुज़ूर निर्ख़ मुक़र्रर फ़रमादें इरशाद फ़रमाया "निर्ख़ मुक़र्रर करने वाला, तन्गी कुशादगी करने वाला, रोज़ी देना वाला अल्लाह है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ख़ुदा से इस हालत में मिलूँ कि कोई शख़्स ख़ून या माल के मुआ़मले में मुझसे किसी ह़क़ का मुतालबा न करे"।

मसअ्ला.25:– ताजिरों ने अगर चीज़ों का निर्ख़ बहुत ज़्यादा करदिया है और बिग़ैर निर्ख़ मुक़र्रर

किये काम चलता नज़र न आता हो तो अहलुर्राए से मशवरा लेकर क़ाज़ी निर्ख़ मुक़र्रर कर सकता है और मुक़र्रर'शुदा निर्ख़ के मुवाफ़िक़ जो बैअ़ हुई यह बैअ़ जाइज़ है यह नहीं कहा जा सकता कि यह बैअ़ मकरूह है क्योंकि यहाँ बैअ़ पर इकराह नहीं क़ाज़ी ने उसे बेचने पर मजबूर नहीं किया उसे इख़्तियार है कि अपनी चीज़ बेचे या न बेचे सिर्फ़ यह किया है कि अगर बेचे तो जो निर्ख़ मुक़र्रर हुआ है उससे गिराँ न बेचे। (हिदाया)

मसअ्ला.26:– इन्सान के खाने और जानवरों के चारे में निर्ख़ मुक़र्रर करना ज़िक्र की हुई सूरत में जाइज़ है और दूसरी चीज़ों में भी हुक्म यह है कि अगर ताजिरों ने बहुत ज़्यादा गिराँ करदी हों तो उनमें भी निर्ख़ मुक़र्रर (भाव फ़िक्स) किया जा सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

क़ुर्आन मजीद पढ़ने के फ़ज़ाइल

क़ुर्आन मजीद पढ़ने और पढ़ाने के बहुत फ़ज़ाइल हैं इजमाली तौर पर इतना समझलेना काफ़ी है कि यह अल्लाह तआ़ला का कलाम है उसपर इस्लाम और अह़कामे इस्लाम का मदार है उसकी तिलावत करना उसमें तदब्बुर आदमी को ख़ुदा तक पहुँचाता है इस मौक़े पर इसके मुतअ़ल्लिक़ चन्द ह़दीसें ज़िक्र की जाती हैं।

ह़दीस् (1) सह़ीह़ बुख़ारी में ह़ज़रत उ़समान ग़नी रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "तुम में बेहतर वह शख़्स़ है जो क़ुर्आन सीखे और सिखाये"।

ह़दीस् (2) स़ह़ीह़ मुस्लिम में उ़क़्बा इब्ने आ़मिर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "क्या तुम में कोई शख़्स़ इसको पसन्द करता है कि बत़्ह़ान या अ़क़ीक़ में सुबह़ को जाये और वहाँ से दो ऊँटनियाँ कोहान वाली लाये इसत़रह़ कि गुनाह और क़त़्अ़े रह़म न हो यानी जाइज़ त़ौर पर हमने अ़र्ज़ की कि यह बात हम सबको पसन्द है फ़रमाया फिर क्यों नहीं सुबह़ को मस्जिद जाकर किताबुल्लाह की दो आयतों को सिखाता कि यह दो ऊंटनियों से बेहतर हैं और तीन तीन से बेहतर और चार चार से बेहतर व अ़ला हाज़ल'क़ियास।

ह़दीस् (3) स़ह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में अबू मूसा अशअ़री रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो मोमिन क़ुर्आन पढ़ता है उसकी मिस़ाल तुरन्ज की सी है कि ख़ुश्बू भी अच्छी है और मज़ा भी अच्छा है और जो मोमिन क़ुर्आन नहीं पढ़ता वह ख़जूर की मिस़्ल है कि उसमें ख़ुश्बू नहीं मगर मज़ा शीरीं है और जो मुनाफ़िक़ क़ुर्आन पढ़ता है वह फूल की मिस़्ल है कि उसमें ख़ुश्बू है मगर मज़ा कड़वा"।

ह़दीस् (4) स़ह़ीह़ मुस्लिम में ह़ज़रत उ़मर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "अल्लाह तआ़ला इस किताब से बहुत लोगों को बलन्द करता है और बहुतों को पस्त करता है यानी जो इस पर ईमान लाते और अ़मल करते हैं उनके लिये बलन्दी है और दूसरों के लिये पस्ती है"।

ह़दीस् (5) स़ह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में ह़ज़रत आयशा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो क़ुर्आन पढ़ने में माहिर है वह किरामन, कातिबीन के साथ है और जो शख़्स़ रुक रुक कर क़ुर्आन पढ़ता है और वह उसपर शाक़ है यानी उसकी ज़बान आसानी से नहीं चलती तकलीफ़ के साथ अदा करता है उसके लिये दो अज्र हैं"।

ह़दीस् (6) शरह़ सुन्ना में अ़ब्दुर्रह़मान बिन औ़फ़ रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि नबी स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "तीन चीज़ें क़ियामत के दिन अ़र्श के नीचे होंगी (1)एक क़ुर्आन कि यह बन्दों के लिये झगड़ा करेगा। इसके लिये ज़ाहिर व बात़िन है (2)और अमानत (3)और रिश्ता पुकारेगा कि जिसने मुझे मिलाया उसे अल्लाह मिलायेगा और जिसने मुझे काटा अल्लाह उसे काटेगा।

हदीस् (7) इमाम अह़मद व तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व निसाई ने अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "साहिबे कुर्आन से कहा जायेगा कि पढ़ और चढ़ और तर्तील(अच्छी तरह ठहर ठहर के पढ़ना)के साथ पढ़ जिस त़रह़ दुनिया में तरतील के साथ पढ़ता था तेरी मन्ज़िल आख़िर आयत जो तू पढ़ेगा वहाँ है"।

हदीस् (8) तिर्मिज़ी व दारमी ने इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिसके जौफ़ में कुछ कुर्आन नहीं है वह वीरान मकान की मिस्ल है"।

हदीस् (9) तिर्मिज़ी व दारमी ने अबूसईद रदियल्लललाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है "जिसको कुर्आन ने मेरे ज़िक्र और मुझसे सुवाल करने से मश्गूल रखा उसे मैं उससे बेहतर दूँगा जो मांगने वालों को देता हूँ और कलामुल्लाह की फ़ज़ीलत दूसरे कलामों पर वैसी ही है जैसी अल्लाह की फ़ज़ीलत उस की मख़्लूक़ पर है"।

हदीस् (10) तिर्मिज़ी व दारमी ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स किताबुल्लाह का एक हर्फ़ पढ़ेगा उसको एक नेकी मिलेगी जो दस के बराबर होगी मैं यह नहीं कहता الم एक हर्फ़ है बल्कि **अलिफ़** एक हर्फ़ है **लाम** दूसरा हर्फ़ है **मीम** तीसरा हर्फ़"

हदीस् (11) अबूदाऊद ने मआ़ज़ जोहनी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिसने कुर्आन पढ़ा और जो कुछ उसमें है उसपर अ़मल किया उसके वालिदैन को क़ियामत के दिन ताज पहनाया जायेगा जिसकी रौशनी सूरज से अच्छी है अगर वह तुम्हारे घरों में होता तो अब खुद उस अ़मल करने वाले के मुतअ़ल्लिक़ तुम्हारा क्या गुमान है"।

हदीस् (12) इमाम अह़मद व तिर्मिज़ी व दारिमी ने ह़ज़रत अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिसने कुर्आन पढ़ा और उसको याद कर लिया उसके ह़लाल को ह़लाल समझा और ह़राम को ह़राम जाना उसके घर वालों में से दस शख़्सों के बारे में अल्लाह तआ़ला उसकी शफ़ाअ़त क़बूल फ़रमायेगा जिनपर जहन्नम वाजिब होचुका था"।

हदीस् (13) तिर्मिज़ी व निसाई व इब्ने माजा ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "कुर्आन सीखो और पढ़ो कि जिसने कुर्आन सीखा और पढ़ा और उसके साथ क़ियाम किया उसकी मिस़ाल यह है जैसे मुश्क से थैली भरी हुई है जिसकी ख़ुश्बू हर जगह फैली हुई है और जिसने सीखा और सो गया यानी क़यामुल्लैल नहीं किया उसकी मिस़ाल वह थैली है जिसमें मुश्क भरी हुई है और उसका मुँह बाँध दिया गया है"।

हदीस् (14) बैहक़ी ने शोअ़बुल ईमान में इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "इन दिलों में भी ज़ंग लग जाती है जिस त़रह़ लोहे में पानी लगने से ज़ंग लगती है" अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह उसकी जिला किस चीज़ से होगी फ़रमाया "कस्रत से मौत को याद करने और तिलावते कुर्आन से"।

हदीस् (15) स़ह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में जुन्दुब इब्ने अ़ब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "कुर्आन को उस वक़्त तक पढ़ो जब तक तुम्हारे दिल को उल्फ़त और लगाओ हो और जब दिल उचाट होजाये खड़े होजाओ यानी तेलावत बन्द करदो"।

हदीस् (16) स़ह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "अल्लाह को जितनी तवज्जोह उस नबी की तरफ़ है जो खुश आवाज़ी से कुर्आन पढ़ता है किसी की तरफ़ इतनी तवज्जोह नहीं"।

हदीस् (17) सहीह बुख़ारी में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स कुर्आन को तग़न्नी या'नी खुश'आवाज़ी से न पढ़े वह हम में से नहीं" इस हदीस् के मुतअ़ल्लिक़ यह भी कहा जाता है कि तग़न्नी से मुराद इस्तिग़ना है या'नी कुर्आन पढ़ने के एवज़ में किसी से कुछ लेना न चाहिए।

हदीस् (18) इमाम अहमद व अबूदाऊद व इब्ने माजा व दारमी ने बर्रा इब्ने आ़ज़िब रदियल्लाहु तआला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया "कुर्आन को अपनी आवाज़ों से मुज़य्यन करो" और दारमी की रिवायत में है कि "अपनी आवाज़ों से कुर्आन को खुबसूरत करो क्योंकि अच्छी आवाज़ कुर्आन का हुस्न बढ़ा देती है"।

हदीस् (19) बैहक़ी ने उ़बैदा मुलैकी रदियल्लाहु तआला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "ऐ कुर्आन वालों कुर्आन को तकिया न बनाओ या'नी सुस्ती और तग़ाफुल न बरतो और रात और दिन में उसकी तिलावत करो जैसा तिलावत का हक़ है और उसको फैलाओ और तग़न्नी करो या'नी अच्छी आवाज़ से पढ़ो या उसका मुआवज़ा न लो और जो कुछ उसमें है उसे ग़ौर करो ताकि तुमको फ़लाह मिले उसके स्वाब में जल्दी न करो क्योंकि इसका स्वाब बहुत बड़ा है"। (जो आख़िरत में मिलने वाला है)

हदीस् (20) अबूदाऊद व बैहक़ी ने जाबिर रदियल्लाहु तआला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं कि हम कुर्आन पढ़ रहे थे और हमारे साथ एअ़राबी और अ़ज्मी भी थे इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ लाये और फ़रमाया कि "कुर्आन पढ़ो तुम सब अच्छे हो बा'द में क़ौमें आयेंगी जो कुर्आन को इस तरह सीधा करेंगी जैसा तीर सीधा होता है उसका बदला जल्दी लेना चाहेंगी देर में लेना नहीं चाहेंगी"। (या'नी दुनिया में बदला लेना चाहेंगी)

हदीस् (21) बैहक़ी ने हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु तआला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्ल्लम ने फ़रमाया कि "कुर्आन को अ़रब के लहन और आवाज़ से पढ़ो अहले इश्क़ और यहूद व नसारा के लहन से बचो या'नी क़वाइदे मौसीक़ी के मुताबिक़ गाने से बचो और मेरे बा'द एक क़ौम आयेगी जो कुर्आन को तर्जीअ़ के साथ पढ़ेगी जैसे गाने और नोहा में तर्जीअ़ होती है कुर्आन उनके दिलों से तजावुज़ नहीं करेगा उनके दिल फ़ितने में मुब्तला हैं और उनके भी जिनको उनकी यह बात पसन्द है"।

हदीस् (22) अबूसईद बिन मुअ़ल्ला रदियल्लाहु तआला अ़न्हु से सहीह बुख़ारी में रिवायत है कहते हैं मैं नमाज़ पढ़ रहा था और नबी सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया मैंने जवाब नहीं दिया (जब नमाज़ से फ़ारिग़ हुआ) हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह मैं नमाज़ पढ़ रहा था इरशाद फ़रमाया क्या अल्लाह तआला ने नहीं फ़रमाया है

﴿اِسْتَجِیْبُوْا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ﴾ "अल्लाह व रसूल के पास हाज़िर होजाओ जब वह तुम्हें बुलायें।"

फिर फ़रमया मस्जिद से बाहर जाने से पहले कुर्आन में जो सबसे बड़ी सूरत है वह बतादूंगा और हुज़ूर ने मेरा हाथ पकड़ लिया जब निकलने का इरादा हुआ मैंने अ़र्ज़ की हुज़ूर ने यह फ़रमाया था कि "मस्जिद से बाहर जाने से पहले कुर्आन की सबसे बड़ी सूरत की ता'लीम करूँगा फ़रमाया कि الحمد لله رب العلمين वही सब्ए मसानी है और कुर्आन अ़ज़ीम है जो मुझ मिला है"।

हदीस् (23) तिर्मिज़ी ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने अबी बिन कअ़ब से फ़रमाया कि "नमाज़ में तुम किस तरह पढ़ते हो" उन्होंने उम्मुलकुर्आन या'नी सूरह फ़ातिहा को पढ़ा हुज़ूर ने फ़रमाया "क़सम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है न उसकी मिस्ल तौरात में कोई सूरत उतारी गई, न इन्जील में, न ज़बूर में न

कुर्आन में वह 'सबअ़ मसानी' और कुर्आने अ़ज़ीम है जो मुझे मिला''।

हदीस (24) सूरए फ़ातिहा हर बीमारी से शिफ़ा है। (दारमी बैहकी)

हदीस (25) सहीह मुस्लिम में इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कहते हैं जिब्रील अ़लैहिस्सलाम हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर थे ऊपर से एक आवाज़ आई उन्होंने सर उठालिया और यह कहा कि आसमान का यह दरवाज़ा आज ही खोला गया आज से पहले कभी नहीं खुला एक फ़िरिश्ता उतरा। जिब्रील अ़लैहिस्सलाम ने कहा यह फ़िरिश्ता आज से पहले कभी ज़मीन पर नहीं उतरा था उसने सलाम किया और यह कहा कि हुज़ूर को बशारत हो कि दो नूर हुज़ूर को दिये गये और हुज़ूर से पहले किसी नबी को नहीं मिले वह दोनों नूर यह हैं सूरए फ़ातिहा और सूरए बक़रा का ख़ात्मा, जो हर्फ़ आप पढ़ेंगे वह दिया जायेगा।

हदीस (26) सहीह मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''अपने घरों को मक़ाबिर (कबरें) न बनाओ शैतान उस घर से भागता है जिसमें सूरए बक़रा पढ़ी जाती है''।

हदीस (27) सहीह मुस्लिम में अबूउमामा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को मैंने यह फ़रमाते सुना कि ''कुर्आन पढ़ो क्योंकि वह क़ियामत के दिन अपने असहाब के लिये शफ़ी होकर आयेगा 'दो चमकदार सूरतें बक़रा व आलेइमरान को पढ़ो' कि यह दोनों क़ियामत के दिन इस तरह आयेंगी गोया दो अब्र हैं या दो साइबान हैं या सफ़ बस्ता परन्दों की दो जमाअ़तें, वह दोनों अपने असहाब की तरफ़ से झगड़ा करेंगी यानी उनकी शफ़ाअ़त करेंगी सूरए बक़रा को पढ़ो कि उसका लेना बरकत है और उसका छोड़ना हसरत है और अहले बातिल-उसकी इस्तिताअ़त नहीं रखते।

हदीस (28) सहीह मुस्लिम में अबी इब्ने कअ़ब रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''ऐ अबुल मुन्ज़िर (यह अबी इब्ने कअ़ब की कुन्नियत है) तुम्हारे पास कुर्आन की सबसे बड़ी आयत कौनसी है मैंने कहा अल्लाह व रसूल अअ़लम (अल्लाह व रसूल ज़्यादा जानने वाले) हैं हुज़ूर ने फ़रमाया ऐ अबुल मुन्ज़िर तुम्हें मअ़लूम है कि कुर्आन की कौनसी आयत तुम्हारे पास सब में बड़ी है मैंने अ़र्ज़ की اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْم (यानी आयतुलकुर्सी) हुज़ूर ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फ़रमाया अबुल मुन्ज़िर तुमको इल्म मुबारक हो।

हदीस (29) सहीह बुख़ारी में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने ज़काते रमज़ान यानी सदक़ए फ़ित्र की हिफ़ाज़त मुझे सिपुर्द फ़रमाई थी एक आने वाला आया और ग़ल्ला भरने लगा मैंने उसे पकड़ लिया और यह कहा कि तुझे हुज़ूर की ख़िदमत में पेश करूँगा कहने लगा मैं मोहताज अ़यालदार हूँ, सख़्त हाजतमन्द हूँ, मैं ने उसे छोड़ दिया जब सुबह हुई हुज़ूर ने फ़रमाया अबूहुरैरा तुम्हारा रात का क़ैदी क्या हुआ मैंने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह उसने शदीद हाजत और अ़याल की शिकायत की मुझे रहम आगया छोड़ दिया इरशाद फ़रमाया वह तुमसे झूट बोला और वह फिर आयेगा। मैंने समझ लिया वह फिर आयेगा क्योंकि हुज़ूर ने फ़रमादिया है मैं उसके इन्तिज़ार में था वह आया और ग़ल्ला भरने लगा मैंने उसे पकड़ लिया और यह कहा तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के पास पेश करूँगा उसने कहा मुझे छोड़ दो मैं मोहताज हूँ अ़यालदार हूँ अब नहीं अऊँगा मुझे रहम आगया उसे छोड़ दिया सुबह हुई तो हुज़ूर ने फ़रमाया अबूहुरैरा तुम्हारा क़ैदी क्या हुआ मैंने अ़र्ज़ की उसने हाजते शदीदा और अ़यालदारी की शिकायत की मुझे रहम आया उसे छोड़दिया हुज़ूर ने फ़रमाया वह तुमसे झूट बोला और फ़िर आयेगा मैं उसके इन्तिज़ार में था वह आया और ग़ल्ला भरने लगा मैंने पकड़ा और कहा तुझे हुज़ूर के पास पेश करूँगा तीन मरतबा होचुका तू कहता है नहीं आयेगा फिर आता है उसने कहा मुझे छोड़दो मैं तुम्हें ऐसे कलिमात सिखाता हूँ जिनसे अल्लाह तुमको नफ़ा देगा जब

तुम बिछौने पर जाओ आयतुल कुर्सी "اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ" आखिर आयत तक पढलो सुबह तक अल्लाह की तरफ़ से तुम पर निगेहबान होगा और शैतान तुम्हारे करीब नहीं आयेगा मैंने उसे छोड़दिया जब सुबह हुई हुज़ूर ने फ़रमाया तुम्हारा कैदी क्या हुआ मैंने अर्ज़ की उसने कहा चन्द कलिमात तुम को सिखाता हूँ अल्लाह तआला तुम्हें उनसे नफ़अ् देगा हुज़ूर ने फ़रमाया यह बात उसने सच कही और वह बड़ा झूटा है और तुम्हें मअ्लूम है कि तीन रातों से तुम्हारा मुख़ातब कौन है मैंने अर्ज़ की नहीं हुज़ूर ने फ़रमाया कि वह शैतान है।

हदीस् (30) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबू मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "सूरए बक़रा की आख़िरी दो आयतें जो शख़्स रात में पढ़ले वह उसके लिये काफ़ी हैं"।

हदीस् (31) अल्लाह तआला ने आसमान व ज़मीन के पैदा करने से दो हज़ार बरस पहले एक किताब लिखी उसमें से दो आयतें जो सूरए बक़रा के ख़त्म पर हैं नाज़िल फ़रमाईं जिस घर में तीन रातों तक पढ़ी जायें शैतान उसके क़रीब नहीं जायेगा। (तिर्मिज़ी व दारमी)

हदीस् (32) सूरए बक़रा के ख़ातिमा की दो आयतें अल्लाह तआला के उस ख़ज़ाने में से हैं जो अर्श के नीचे है अल्लाह ने मुझे यह दोनों आयतें दीं उन्हें सीखो और अपनी औरतों को सिखाओ कि वह रहमत हैं और अल्लाह से नज़्दीक और दुआ हैं। (दारमी)

हदीस् (33) सहीह मुस्लिम में अबूदरदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "सूरए कहफ़ की पहली दस आयतें जो शख़्स याद करले वह दज्जाल से महफ़ूज़ रहेगा"।

हदीस् (34) जो शख़्स सूरए कहफ़ जुमा के दिन पढ़ेगा उसके लिये दो जुमा के मा'बैन नूर रौशन होगा। (बैहक़ी)

हदीस् (35) हर चीज़ के लिये दिल है और कुर्आन का दिल यासीन है जिसने यासीन पढ़ी दस मरतबा कुर्आन पढ़ना अल्लाह तआला उसके लिये लिखेगा। (तिर्मिज़ी व दारमी)

हदीस् (36) अल्लाह तआला ने ज़मीन व आसमान के पैदा करने से हज़ार बरस पहले ता'हा व 'यासीन' पढ़ा जब फ़िरिश्तों ने सुना यह कहा मुबारक हो उस उम्मत के लिये जिस पर यह उतारा जाये और मुबारक हो उन जोफ़ों के लिये जो उसके हामिल हों और मुबारक हो उन ज़बानों के लिये जो उसको पढ़ें। (दारमी)

हदीस् (37) जो शख़्स अल्लाह तआला की रज़ा के लिये यासीन पढ़ेगा उसके अगले गुनाहों की मग़्फ़िरत होजायेगी लिहाज़ा उसको अपने मुर्दों के पास पढ़ो। (बैहक़ी)

हदीस् (38) जो शख़्स 'हा' 'मीम' अल'मोमिन को 'इलैहिल'मसीर' तक और आयतुल'कुर्सी सुबह को पढ़ लेगा शाम तक महफ़ूज़ रहेगा और जो शाम को पढ़लेगा सुबह तक महफ़ूज़ रहेगा।(तिर्मिज़ी व दारमी)

हदीस् (39) जो शख़्स 'हा''मीम' अद्दुख़्ख़ान शबे जुमा में पढ़े उसकी मग़्फ़िरत होजायेगी। (तिर्मिज़ी)

हदीस् (40) नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तक 'अलिफ़ लाम मीम तन्ज़ील' और 'तबारकल्लज़ी बियदिहिलमुल्कु' न पढ़ लेते सोते न थे। (अहमद, तिर्मिज़ी, दारमी)

हदीस् (41) ख़ालिद बिन मअ्दान ने कहा निजात देनी वाली सूरत को पढ़ो वह 'अलिफ़ लाम मीम तन्ज़ील' है मुझे ख़बर पहुँची है कि एक शख़्स इसको पढ़ता था इसके सिवा कुछ नहीं पढ़ता था और वह बहुत गुनहगार था इस सूरत ने अपना बाज़ू उसपर बिछा दिया और कहा ऐ रब! इसकी मग़्फ़िरत फ़रमादे कि यह मुझको कस्रत (ज़्यादा) से पढ़ता था। रब तआला ने उसकी शफ़ाअत क़बूल फ़रमाई और फ़िरिश्तों से फ़रमाया कि उसकी हर ख़ता के बदले में एक नेकी लिखो और एक दर्जा बलन्द करो और ख़ालिद ने यह भी कहा कि शफ़ाअत क़बूल फ़रमा और तेरी किताब में से नहीं हूँ तो उसमें से मुझे मिटादे और वह परिन्द की तरह अपने बाज़ू उसपर बिछा देगी और शफ़ाअत

करेगी और अज़ाबे क़ब्र से बचायेगी और ख़ालिद ने तबारक के मुतअ़ल्लिक़ भी ऐसा ही कहा और जब तक उन दोनों को पढ़ न लेते ख़ालिद सोते न थे और ताऊस ने कहा कि यह दोनों सूरतें कुर्आन की हर एक सूरत पर साठ हसना के साथ फ़ज़ीलत रखती हैं। (दारमी)

हदीस् (42) कुर्आन में तीस आयत की एक सूरत है आदमी के लिये शफ़ाअ़त करेगी यहाँ तक कि उसकी मग़्फ़िरत होजायेगी वह तबारकल्लज़ी बियदिहिलमुल्क है। (अहमद, व तिर्मज़ी, व अबूदाऊद व निसाई)

हदीस् (43) बाज़ सहाबा ने क़ब्र पर ख़ेमा गाड़ दिया उन्हें यह मअ़लूम न था कि यहाँ क़ब्र है उस में किसी शख़्स ने तबारकल्लज़ी बियदिहलमुल्क ख़त्म सूरत तक पढ़ा जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर यह वाक़िआ़ सुनाया तो हुज़ूर ने फ़रमाया "वह मानिआ़ है वह मुन्जिया है, अज़ाबे इलाही से निजात देती है"। (तिर्मिज़ी)

हदीस् (44) जो शख़्स सूरए वाक़िआ़ हर रात में पढ़ लेगा उसको कभी फ़ाक़ा नहीं पहुँचेगा इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु अपनी साहबज़ादियों को हुक्म फ़रमाते थे कि हर रात में इसको पढ़ा करें। (बैहक़ी)

हदीस् (45) क्या तुम इसकी इस्तिताअ़त नहीं रखते कि हर रोज़ एक हज़ार आयतें पढ़ा करो लोगों ने अ़र्ज़ की उसकी कौन इस्तिताअ़त रखता है कि हर रोज़ हज़ार आयतें पढ़ा करे फ़रमाया क्या इस की इस्तितआ़त नहीं कि الهٰكم التكاثر पढ़ लिया करो।

हदीस् (46) क्या तुम इससे आजिज़ हो कि रात में तिहाई कुर्आन पढ़ लिया करो लोगों ने अ़र्ज़ की तिहाई कुर्आन क्योंकर कोई पढ़ लेगा फ़रमाया قل هو الله احد तिहाई की बराबर है"। (बुख़ारी, मुस्लिम)

हदीस् (47) اذا زلزلت निस्फ़ कुर्आन की बराबर है और قل هو الله احد तिहाई कुर्आन की बराबर है और قل يايها الكافرون चौथाई की बराबर। (तिर्मिज़ी)

हदीस् (48) जो एक दिन में दो सौ मरतबा قل هو الله احد पढ़ेगा उसके पचास बरस के गुनाह मिटा दिये जायेंगे मगर यह कि उस पर दैन हो। (तिर्मिज़ी, दारमी)

हदीस् (49) जो शख़्स सोते वक़्त बिछौने पर दाहिने करवट लेट कर सौ मरतबा قل هو الله احد पढे क़ियामत के दिन रब तबारक व तआ़ला उससे फ़रमायेगा "ऐ मेरे बन्दे अपनी दाहिनी जानिब जन्नत में चला जा"। (तिर्मिज़ी)

हदीस् (50) नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने एक शख़्स को قل هو الله احد पढ़ते सुना फ़रमाया कि "जन्नत वाजिब होगई। (इमाम मालिक, तिर्मिज़ी, निसाई)

हदीस् (51) किसी ने पूछा या रसूलल्लाह कुर्आन में सबसे बड़ी सूरत कौनसी है फ़रमाया قل هو الله احد उसने अ़र्ज़ की कुर्आन में सबसे बड़ी आयत कौनसी है फ़रमाया आयतुलकुर्सी الله لا اله الا هو الحى القيوم उसने कहा या रसूलल्लाह कौनसी आयत आपको और आप की उम्मत को पहुँचना महबूब है यानी उसका फ़ायदा व सवाब। फ़रमाया सूरए बक़रा के ख़ात्मा की आयत कि वह रहमते इलाही के ख़ज़ाने से अ़र्शे इलाही के नीचे से है अल्लाह तआ़ला ने वह आयत इस उम्मत को दी दुनिया व आख़िरत की कोई ख़ैर नहीं मगर यह उस पर मुश्तमिल है। (दारमी)

हदीस् (52) जो शख़्स اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم तीन मरतबा पढ़कर सूरह हश्र की पिछली तीन आयतें पढ़े अल्लाह तआ़ला सत्तर हज़ार फ़िरिश्ते मुक़र्रर फ़रमायेगा जो शाम तक उसके लिये दुआ़ करेंगे और अगर वह शख़्स उस रोज़ मरजाये तो शहीद मरेगा और शाम को पढ़ली तो उसके लिये भी यही है। (तिर्मिज़ी)

हदीस् (53) जो कुर्आन पढ़े उसको अल्लाह से सवाल करना चाहिए अन'क़रीब ऐसे लोग आयेंगे जो कुर्आन पढ़कर आदमियों से सुवाल करेंगे। (अहमद, तिर्मिज़ी)

हदीस् (54) जो कुर्आन पढ़कर आदमियों से खाना मांगेगा क़ियामत के दिन इस तरह आयेगा कि उसके चेहरे पर गोश्त न होगा, निरी हड्डियाँ होंगी। (बैहक़ी)

हदीस (55) इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मुस्हफ़ लिखने की उजरत से सवाल हुआ उन्होंने फरमाया इसमें हरज नहीं वह लोग नक़्श बनाते हैं और अपनी दस्तकारी से खाते हैं यानी यह एक क़िस्म की दस्तकारी है उसका मुआवज़ा लेना जाइज़ है। (रज़ीन)

कुर्आन मजीद की तिलावत वग़ैरा के मसाइल हिस्सा सोम में मज़कूर हो चुके हैं वहाँ से मअ्लूम किये जायें मुस्हफ़ शरीफ़ के मुतअल्लिक़ बाज़ बातें यहाँ ज़िक्र की जाती हैं।

कुर्आन मजीद और किताबों के आदाब

मसअ्ला.1:– कुर्आन मजीद पर सोने चाँदी का पानी चढ़ाना जाइज़ है कि उससे नज़रे अ़वाम में अज़मत पैदा होती है उसमें एअ्राब व नुक़ते लगाना भी मुस्तहसन है क्योंकि अगर ऐसा न किया जाये तो अकस्र लोग उसे सहीह न पढ़ सकेंगे इसतरह आयते सजदा पर सजदा लिखना और वक़्फ़ की अ़लामतें लिखना और रूकूअ् की अ़लामत लिखना और तअ्शीर यानी दस दस आयतों पर निशान लगाना जाइज़ है उसी तरह सूरतों के नाम लिखना और यह लिखना कि इसमें इतनी आयतें हैं यह भी जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार) इस ज़माने में कुर्आन मजीद के तराजिम भी छापने का रिवाज है अगर तर्जमा सहीह हो तो कुर्आन मजीद के साथ तबअ् करने में हरज नहीं इस लिये कि उससे आयत का तर्जमा जानने में सुहूलत होती है मगर तन्हा तर्जमा न छापा जाये।

मसअ्ला.2:– तारीख़ के औराक़ कुर्आन मजीद की जिल्द या तफ़सीर व फ़िक़्ह की किताबों पर बतौर ग़िलाफ़ चढ़ाना जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– कुर्आन मजीद की किताबत निहायत ख़ुश'ख़त और वाज़ेह हरफ़ों में की जाये। काग़ज़ भी बहुत अच्छा, रोशनाई भी ख़ूब अच्छी हो कि देखने वाले को भला मअ्लूम हो। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार) बाज़ छापने वाले निहायत मअ्मूली कागज़ पर बहुत ख़राब काग़ज़ व रोशनाई से छपवाते हैं यह हरगिज़ न होना चाहिए।

मसअ्ला.4:– कुर्आन मजीद का हजम छोटा करना मकरूह है। (दुर्रेमुख़्तार) बाज़ अहले मताबेअ् ने तअ्वीज़ी कुर्आन मजीद छपवाये हैं जिनका क़लम इतना बारीक है कि पढ़ने में भी नहीं आता बल्कि हमाइल भी न छपवाई जाये कि उसका हजम भी बहुत कम होता है।

मसअ्ला.5:– कुर्आन मजीद पुराना, बोसीदा होगया इस क़ाबिल न रहा कि उसमें तिलावत की जाये और यह अन्देशा है कि उसके औराक़ मुन्तशिर होकर ज़ाइअ् (बर्बाद) होंगे तो किसी पाक कपड़े में लपेट कर एहतियात की जगह दफ़न करदिया जाये और दफ़न करने में उसके लिये लहद बनाई जाये ताकि उसपर मिट्टी न पड़े या उस पर तख़्ता लगाकर छत बनाकर मिट्टी डालें कि उसपर मिट्टी न पड़े। मुसहफ़ शरीफ़ बोसीदा होजाये तो उसको जलाया न जाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– लुग़त व नह्व व सर्फ़ का एक मरतबा है उनमें हर एक की किताब को दूसरे की किताब पर रख सकते हैं और उनसे ऊपर इल्मे कलाम की किताबें रखी जायें इनके ऊपर फ़िक़्ह और अहादीस व मवाइज़ व दअ्वाते मासूरा फ़िक़्ह से ऊपर और तफ़सीर को उनके ऊपर और कुर्आन मजीद को सबके ऊपर रखें कुर्आन मजीद जिस सन्दूक़ में हों उसपर कपड़ा वग़ैरा न रखा जाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– किसी ने महज़ ख़ैर व बरकत के लिये अपने मकान में कुर्आन मजीद रख छोड़ा है और तिलावत नहीं करता तो गुनाह नहीं बल्कि उसकी यह नियत बाइसे सवाब है। (ख़ानिया)

मसअ्ला.8:– कुर्आन मजीद पर अगर्चे बक़स्दे तौहीन(तौहीन के इरादे से)पाँव रखा काफ़िर होजायेगा(आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– जिस घर में कुर्आन मजीद रखा हो उसमें बीवी से सोहबत करना जाइज़ है जबकि कुर्आन मजीद पर पर्दा पड़ा हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– कुर्आन मजीद को निहायत अच्छी आवाज़ से पढ़ना चाहिए उसी तरह अज़ान कहने में ख़ुश'गुलू से काम ले यानी अगर आवाज़ अच्छी न हो तो अच्छी आवाज़ बनाने की कोशिश करे। लहन के साथ पढ़ना कि हुरूफ़ में कमी बेशी होजाये जैसे गाने वाले किया करते हैं यह ना'जाइज़

है बल्कि पढ़ने में क़वाइदे तजवीद की मुराआत करे (किरात के कायदे के मुताबिक पढे)। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.11:– क़ुर्आन मजीद को मअ्रूफ़ व शाज़ दोनों किरातों (मशहूर किरात और गैर मशहूर किरात) के साथ एक साथ पढ़ना मकरूह है तो फ़क़त किराते शाज़्ज़ा (जो मशहूर न हो और कम पढी जाती हो) के साथ पढ़ना बदरजाए औला मकरूह है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल मुहतार) बल्कि अवाम के सामने वही किरात पढ़ी जाये जो वहाँ राइज है क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि वह अपनी नावाकिफी की वजह से इन्कार कर बैठे।

मसअ्ला.12:– मुसलमानों में यह दस्तूर है कि क़ुर्आन मजीद पढ़ते वक़्त अगर उठकर कहीं जाते हैं तो बन्द कर देते हैं खुला हुआ छोड़कर नहीं जाते यह अदब की बात है मगर बाज़ लोगों में यह मशहूर है कि अगर खुला हुआ छोड़ दिया जायेगा तो शैतान पढ़ेगा इसकी अस्ल नहीं मुम्किन है कि बच्चों को इस अदब की तरफ़ तवज्जोह दिलाने के लिये ऐसा इख़्तिरा किया हो (बात बनाई हो)।

मसअ्ला.13:– क़ुर्आन मजीद के आदाब में यह भी है कि उसकी तरफ़ पीठ न की जाये, न पाँव फैलाये जायें, न पाँव को उससे ऊँचा करें, न यह कि ख़ुद ऊँची जगह पर हो, और क़ुर्आन मजीद नीचे हो।

मसअ्ला.14:– क़ुर्आन मजीद को जुज़्दान व गिलाफ़ में रखना अदब है सहाबा व ताबेईन रदियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन के ज़माने से उस पर मुसलमानों का अमल है।

मसअ्ला.15:– नये क़लम का तराशा इधर उधर फेंक सकते हैं मगर मुस्तअ्मल कलम का तराशा एहतियात की जगह में रखा जाये फेंका न जाये। उसी तरह मस्जिद का घास, कूड़ा मोजए एहतियात में डाला जाये ऐसी जगह न फेंका जाये कि एहतिराम के ख़िलाफ़ हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– जिस काग़ज़ पर अल्लाह तआला का नाम लिखा हो उसमें कोई चीज़ रखना मकरूह है और थैली पर असमाए इलाही लिखे हों उसमें रूपया पैसा रखना मकरूह नहीं खाने के बाद उंगलियों को काग़ज़ से पोंछना मकरूह है। (आलमगीरी)

आदाबे मस्जिद व क़िब्ला

"मस्जिद के मुतअल्लिक़ मसाइल हिस्सा सोम में मुफस्सल ज़िक्र किये गये हैं"

मस्जिद को चूने और गच से मुनक़्क़श करना जाइज़ है सोने चाँदी के पानी से नक़्श व निगार करना भी जाइज़ है जबकि कोई शख़्स अपने माल से ऐसा करे माले वक़्फ़ से ऐसा नहीं कर सकता बल्कि मुतवल्ली मस्जिद ने अगर माले वक़्फ़ से सोने चाँदी का नक़्श कराया तो उसे तावान देना होगा। हाँ अगर बानी मस्जिद ने नक़्श कराया था जो ख़राब होगया तो मुतवल्ली मस्जिद माले मस्जिद से भी नक़्श व निगार करा सकता है। बाज़ मशाइख़ दीवारे क़िबला में नक़्श व निगार करने को मकरूह बताते हैं कि नमाज़ी का दिल उधर मुतवज्जेह होगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.1:– मस्जिद की दीवारों में गच और पलास्तर कराना जाइज़ है कि उसकी वजह से इमारत महफ़ूज़ रहेगी। मस्जिद में प्लास्तर कराने या क़लई या कहगल कराने में नापाक पानी इस्तेअ्माल न किया जाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– मस्जिद में दर्स देना जाइज़ है अगर्चे ब'वक़्ते दर्स मस्जिद की जा'नमाज़ों और चटाईयों को इस्तेअ्माल करता हो मस्जिद में खाना और सोना मोअ्तकिफ़ को जाइज़ है गैर मोअ्तकिफ़ के लिये मकरूह है अगर कोई शख़्स मस्जिद में खाना या सोना चाहता हो तो वह ब'नियते एअ्तिकाफ़ मस्जिद में दाख़िल हो और ज़िक्र करे या नमाज़ पढ़े उसके बाद वह काम कर सकता है। (आलमगीरी) हिन्दुस्तान में तक़रीबन हर जगह यह रिवाज है कि माहे रमज़ान में आम तौर पर मस्जिद में रोज़ा इफ़तार करते हैं अगर ख़ारिजे मस्जिद कोई जगह ऐसी हो कि वहाँ इफ़्तार करें जब तो मस्जिद में इफ़तार न करें वरना दाख़िल होते वक़्त एअ्तिकाफ़ की नियत कर लिया करें अब इफ़्तार करने में हरज नहीं मगर इस बात का अब भी लिहाज़ करना होगा कि मस्जिद का फ़र्श या चटाईयाँ आलूदा न करें।

मसअ्ला.3:– मस्जिद को रास्ता न बनाया जाये मस्लन मस्जिद के दो दरवाज़े हैं और उसको कहीं

जाना है आसानी इसमें है कि एक दरवाज़े से दाख़िल होकर दूसरे से निकल जाये ऐसा न करे अगर कोई शख़्स इस नियत से गया कि इस दरवाज़े से दाख़िल होकर दूसरे से निकल जायेगा अन्दर जाने के बाद अपने इस फ़ेअ्ल पर नादिम हुआ तो जिस दरवाज़े से निकलने का इरादा किया था उसके सिवा दूसरे दरवाज़े से निकले और बाज़ उलमा ने फ़रमाया है कि यह शख़्स पहले नमाज पढ़े फिर निकले और बाज़ ने फ़रमाया कि अगर बे वज़ू है तो जिस दरवाज़े से गया है उसी से निकले मस्जिद में जूते पहनकर जाना मकरूह है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:— जामेअ् मस्जिद में तअ्वीज़ बेचना ना जाइज़ है जैसा कि तअ्वीज़ वाले किया करते हैं कि इस तअ्वीज़ का यह हदिया है इतना दो और तअ्वीज़ लेजाओ। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:— मस्जिद में अक़्दे निकाह करना मुस्तहब है (आलमगीरी) मगर यह ज़रूरी है कि ब'वक़्ते निकाह शोर गुल और ऐसी बातें जो एहतिरामे मस्जिद के ख़िलाफ़ हैं न होने पायें लिहाज़ा अगर मअ्लूम हो कि मस्जिद के आदाब का लिहाज़ न रहेगा तो मस्जिद में निकाह न पढ़वायें।

मसअ्ला.6:— जिस के बदन या कपड़े पर नजासत लगी हो वह मस्जिद में न जाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:— मस्जिद में इन आदाब का लिहाज़ रखे (1)जब मस्जिद में दाख़िल हो तो सलाम करे ब'शर्ते कि जो लोग वहाँ मौजूद हैं ज़िक्र व दर्स में मशगूल न हों और अगर वहाँ कोई न हो या जो लोग हैं वह मशगूल हैं तो यूँ कहे। اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا مِنْ رَّبِّنَا وَ عَلٰی عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ (2)वक़्ते मकरूह न हो तो दो रकअ्त तहिय्यतुलमस्जिद अदा करे। (3)ख़रीद व फ़रोख़्त न करे (4)नंगी तलवार मस्जिद में न लेजाये (5)गुमी हुई चीज़ मस्जिद में न ढूंडे (6)ज़िक्र के सिवा आवाज़ बलन्द न करे। (7)दुनिया की बातें न करे। (8)लोगों की गर्दनें न फलांगे (9)जगह के मुतअ़ल्लिक़ किसी से झगड़ा न करे। (10)इस तरह न बैठे कि दूसरों के लिये जगह में तंगी हो। (11)नमाज़ी के आगे से न गुज़रे (12)मस्जिद में थूक खंकार न डाले (13)उंगलियाँ न चटकाये। (14)निजासत और बच्चों और पगलों से मस्जिद को बचाये (15)ज़िक्रे इलाही की कस्रत करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:— मस्जिद में जगह तंग होगई तो जो नमाज़ पढ़ना चाहता है वह बैठे हुए को कह सकता है कि सरक जाओ नमाज़ पढ़ने की जगह देदो अगर्चे वह शख़्स ज़िक्र व दर्स या तिलावते क़ुर्आन में मशगूल हो या मोअ्तकिफ़ हो। (आमलगीरी)

मसअ्ला.9:— मस्जिद के साइल को देना मना है। मस्जिद में दुनिया की बातें करना मकरूह है। मस्जिद में कलाम करना नेकियों को इस तरह खाता है जिस तरह आग लकड़ी को खाती है। यह जाइज़ कलाम के मुतअ़ल्लिक़ है नाजाइज़ कलाम के गुनाह का क्या पूछना। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.10:— नमाज़ पढ़ने के बाद मुसल्ले को लपेटकर रख देते हैं यह अच्छी बात है कि इस में ज़्यादा एहतियात है मगर बाज़ लोग जाए नमाज़ का सिर्फ़ कोना लौट देते हैं और यह कहते हैं कि ऐसा न करने में उसपर शैतान नमाज़ पढ़ेगा यह बे अस्ल है।

मसअ्ला.11:— मस्जिद की छत पर चढ़ना मकरूह है गर्मी की वजह से मस्जिद की छत पर जमाअ्त करना मकरूह है हाँ अगर मस्जिद में तंगी हो नमाज़ियों की कस्रत हो तो छत पर नमाज़ पढ़ सकते हैं जैसा बम्बई और कलकत्ता में मस्जिद की तंगी की वजह से छत पर भी जमाअ्त होती है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:— तालिब इल्म ने मस्जिद की चटाई का तिन्का निशानी के लिये किताब में रख लिया यह मुआफ़ है। (आलमगीरी) इस का यह मतलब नहीं कि अच्छी चटाई से तिन्का तोड़कर निशानी बनाये कि इस तरह बार बार करने से चटाई ख़राब होजायेगी।

मसअ्ला.13:— क़िब्ले की जानिब हदफ़ यानी निशाना बनाकर उसपर तीर मारना या उसपर गोली मारना मकरूह है यानी क़िब्ले की तरफ़ चाँद मारी करना मकरूह है। (दुर्रेमुख़्तार)

इयादत व इलाज का बयान

इयादत के फ़ज़ाइल के मुतअल्लिक़ चन्द अहादीस हिस्सा–ए–चहारुम किताबुल'जनाइज़ में ज़िक्र की गई हैं इलाज के मुतअल्लिक़ कुछ हदीसें यहाँ लिखी जाती हैं।

हदीस् (1) सहीह बुख़ारी में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह तआला ने कोई बीमारी नहीं उतारी मगर उसके लिये शिफ़ा भी उतारी।

हदीस् (2) सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हर बीमारी के लिये दवा है जब बीमारी को दवा पहुँच जायेगी अल्लाह के हुक्म से अच्छा होजायेगा।

हदीस् (3) इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने उसामा बिन शरीक रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि लोगों ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हम दवा करें फ़रमाया हाँ ऐ अल्लाह के बन्दो! दवा करो क्योंकि अल्लाह ने बीमारी नहीं रखी मगर उसके लिये शिफ़ा भी रखी है सिवा एक बीमारी के वह बुढ़ापा है।

हदीस् (4) अबूदाऊद ने अबूद्दरदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया बीमारी और दवा दोनों को अल्लाह तआला ने उतारा उसने हर बीमारी के लिये दवा मुक़र्रर की बस तुम दवा करो मगर हराम से दवा मत करो।

हदीस् (5) इमाम अहमद व अबूदाऊद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की रसूलुल्लाह सल्लललाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दवा–ए–ख़बीस् से मुमानअत फ़रमाई।

हदीस् (6) तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने उक़्बा इब्ने आमिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मरीज़ों को खाने पर मजबूर न करो कि उनको अल्लाह तआला खिलाता, पिलाता है।

हदीस् (7) इब्ने माजा ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब मरीज़ खाने की ख़्वाहिश करे तो उसे खिलादो। यह हुक्म उस वक़्त है कि खाने का इश्तिहाए सादिक़ हो। (यानी खाने की सच्ची ख़्वाहिश हो)

हदीस् (8) अबूदाऊद ने उम्मे मुन्ज़िर बिन्ते क़ैस रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु के साथ मेरे यहाँ तशरीफ़ लाये हज़रत अली को निक़ाहत (कमज़ोरी) थी यानी बीमारी से अभी अच्छे हुए थे मकान में खजूर के खोशे लटक रहे थे। हुज़ूर ने उनमें से खजूरें तनावुल फ़रमाई हज़रत अली ने खाना चाहा हुज़ूर ने उनको मनअ् किया और फ़रमाया कि तुम नक़ीह (कमज़ोर) हो कहती हैं कि जौ और चुक़न्दर पकाकर हाज़िर लाई हुज़ूर ने हज़रत अली से फ़रमाया इसमें से लो कि यह तुम्हारे लिए नाफ़ेअ् (फ़ायदा देने वाली) है इस हदीस् से मअ्लूम हुआ कि मरीज़ को परहेज़ करना चाहिए जो चीज़ें उसके लिये मुज़िर हैं उनसे बचना चाहिए।

हदीस् (9) इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने इमरान बिन हुसैन और इब्ने माजा ने बरीदा रदियल्लाहु तआला अन्हुम से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि 'झाड़ फूंक नहीं मगर नज़रे बद और ज़हरीले जानवर के काटने से यानी उन दोनों में ज़्यादा मुफ़ीद है।

हदीस् (10) इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने असमा बिन्ते उमैस रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह औलादे जअ्फ़र को जल्द नज़र लग जाया करती है क्या झाड़ फूंक कराऊँ फ़रमाया "हाँ क्योंकि अगर कोई चीज़ तक़दीर से सबक़त लेजाने वाली होती तो नज़रे बद सबक़त लेजाती"।

हदीस् (11) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नज़रे बद से झाड़ फूंक कराने का हुक्म फ़रमाया है।

हदीस् (12) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि उनके घर में एक लड़की थी जिसके चेहरे में ज़र्दी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया उसे झाड़ फूंक कराओ क्योंकि उसे नज़र लग गई है।

हदीस् (13) सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने झाड़ फूंक से मनअ् फ़रमाया और हमारे पास बिच्छू का झाड़ है और उसको हुज़ूर के सामने पेश किया इरशाद फ़रमाया उसमें कुछ हरज नहीं जो शख़्स अपने भाई को नफ़अ् पहुँचा सके नफ़अ् पहुँचाये।

हदीस् (14) सहीह मुस्लिम में औफ़ बिन मालिक अशजई से रिवायत है कहते हैं कि हम जाहिलियत में झाड़ा करते थे हुज़ूर की ख़िदमत में अर्ज़ की या रसूलल्लाह हुज़ूर का इसके मुतअ़ल्लिक़ क्या इरशाद है फ़रमाया कि "मेरे सामने पेश करो झाड़ फूंक में हरज नहीं जब तक उसमें शिर्क न हो"।

हदीस् (15) सहीह बुख़ारी में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "उदवा नहीं यानी मर्ज़ लगना और मुतअ़द्दी होना नहीं है और न बद फ़ाली है और न हामा (लू) है न सफ़र और मजज़ूम से भागो जैसे शेर से भागते हो" (यानी सफर के महीने को लोग मन्हूस समझते हैं हदीस् में फरमाया गया यह कोई चीज़ नहीं, मजज़ूम जिसे जुज़ाम का मर्ज हो)

दूसरी रिवायत में है कि एक एअराबी ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह उसकी क्या वजह है कि रेगिस्तान में ऊँट हिरन की तरह (साफ़ सुथरा) होता है और ख़ारिश्ती ऊँट (खुजली वाला ऊँट) जब उसके साथ मिलजाता है तो उसे भी ख़ारिश्ती कर देता है हुज़ूर ने फ़रमाया 'पहले को किसने मर्ज़ लगा दिया' यानी जिस तरह पहला ऊँट ख़ारिश्ती होगया दूसरा भी होगया मर्ज़ का मुतअ़द्दी होना (एक मर्ज़ का दूसरे को लग जाना) ग़लत है और मजज़ूम से भागने का हुक्म सद्दे ज़राइअ् के क़बील (ज़राइअ् रोकने के क़बील) से है कि अगर उससे मेल जोल में दूसरे को जुज़ाम पैदा होजाये तो यह ख़याल होगा कि मेल जोल से पैदा हुआ इस ख़याले फ़ासिद (बुरे ख़याल) से बचने के लिये यह हुक्म हुआ कि उससे अलाहिदा रहो।

हदीस् (16) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना कि 'बदफ़ाली कोई चीज़ नहीं और फ़ाल अच्छी चीज़ है' लोगों ने अर्ज़ की फ़ाल क्या चीज़ है फ़रमाया अच्छा कलिमा जो किसी से सुने यानी कहीं जाते वक़्त या किसी काम का इरादा करते वक़्त किसी की ज़बान से अगर अच्छा कलिमा निकल गया यह फ़ाले हसन है।

हदीस् (17) अबूदाऊद व तिर्मिज़ी ने अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "तय्यरा (बदफाली) शिर्क है उसको तीन मरतबा फ़रमाया (यानी मुश्रिकीन का तरीक़ा है) जो कोई हममें से हो यानी मुसलमान हो वह अल्लाह पर तवक्कुल करके चला जाये"।

हदीस् (18) तिर्मिज़ी ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब किसी काम के लिये निकलते तो यह बात हुज़ूर को पसन्द थी कि या राशिद, या नजीह, सुनें यानी उस वक़्त अगर कोई शख़्स उन नामों के साथ किसी को पुकारता यह हुज़ूर को अच्छा मअ़लूम होता कि यह कामयाबी और फ़लाह की फ़ाले नेक है।

हदीस् (19) अबू दाऊद ने बरीदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी चीज़ से बद शगुनी (बद फ़ाली) नहीं लेते जब किसी आमिल को भेजते उसका नाम दरयाफ़्त करते अगर उसका नाम पसन्द होता तो खुश होते और खशी के आसार चेहरे

बाल या हड्डी या किसी जुज़ को दवा के तौर पर इस्तेअ्माल करना हराम है। दूसरे जानवरों की हड्डियाँ दवा में इस्तेअ्माल की जा सकती हैं बशर्ते कि ज़बीहा की हड्डियाँ हों या खुश्क हों कि उसमें रतूबत (गीलापन) बाक़ी न हो हड्डियाँ अगर ऐसी दवा में डाली गई हों जो खाई जायेंगी तो यह ज़रूरी है कि ऐसे जानवर की हड्डी हो जिसका खाना हलाल है और ज़बह भी कर दिया हो मुर्दार की हड्डी खाने में इस्तेअ्माल नहीं की-जासकती। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– हराम चीज़ों को दवा के तौर पर भी इस्तेअ्माल करना नाजाइज़ है कि हदीस में इरशाद फ़रमाया जो चीज़ें हराम हैं उनमें अल्लाह तआ़ला ने शिफ़ा नहीं रखी है। बाज़ कुतुब में यह मज़कूर है कि अगर चीज़ के मुतअ़ल्लिक यह इल्म हो कि उसी में शिफ़ा है तो उस सूरत में वह चीज़ हराम नहीं इसका ह़ासिल भी वही है क्योंकि किसी चीज़ की निस्बत हरगिज़ यह यक़ीन नहीं किया जासकता कि इससे मर्ज़ ज़ाइल ही हो जायेगा ज़्यादा से ज़्यादा ज़न और गुमान हो सकता है न कि इल्म व यक़ीन खुद इल्मे तिब के क़वाइद व उसूल ही ज़न्नी हैं लिहाज़ा यक़ीन हासिल होने की कोई सूरत नहीं यहाँ वैसा यक़ीन भी नहीं हो सकता जैसा भूके को हराम लुक़मा, खाने से या प्यासे को शराब पीने से जान बच जाने में होता है। (दुर्रेमुख्तार, रद्दुल'मुहतार)
अंग्रेज़ी दवायें बकसरत ऐसी हैं जिनमें स्प्रिट और शराब की आमेज़िश (मिलावट) होती है ऐसी दवायें हरगिज़ इस्तेअ्माल न की जायें।

मसअ्ला.5:– बीमारी के मुतअ़ल्लिक़ तबीब ने यह कहा कि खून का ग़लबा है फ़स्द वग़ैरा के ज़रीए से खून निकाला जाये मरीज़ ने ऐसा न किया और मरगया तो इस इलाज के न करने से गुनहगार नहीं हुआ क्योंकि यह यक़ीन नहीं है कि इस इलाज से शिफ़ा हो ही जायेगी। (खानिया)

मसअ्ला.6:– दस्त आते हैं या आँखें दुखती हैं या कोई दूसरी बीमारी है उसमें इलाज नहीं किया और मरगया गुनहगार नहीं है। (आलमगीरी) यानी इलाज कराना ज़रूरी नहीं कि अगर दवा न करे और मर जाये तो गुनहगार हुआ और भूक, प्यास में खाने, पीने की चीज़ दस्तयाब हो और न खाये पिये यहाँ तक कि मरजाये तो गुनहगार है कि यहाँ यक़ीनन मअ़्लूम है कि खाने, पीने से वह बात जाती रहेगी।

मसअ्ला.7:– औ़रत को ह़मल है तो जब तक शिकम में बच्चा ह़रकत न करे न फ़स्द खुलवाये न पुछन्ने लगवायें और बच्चा ह़रकत करने लगे तो फ़स्द वग़ैरा करा सकते हैं मगर जब विलादत का ज़माना क़रीब आजाये तो न कराये क्योंकि बच्चे को ज़रर (नुकसान) पहुँच जाने का अन्देशा है हाँ अगर फ़स्द न कराने में खुद औ़रत ही को सख़्त नुकसान पहुँचेगा तो करा सकती है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– महीने की पहली से पन्द्रह तारीख़ों तक पछन्ने न लगवाये जायें पन्द्रहवीं के बाद पछन्ने करायें खुसूसन हफ़्ते का दिन उसके लिये ज़्यादा अच्छा है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– शराब से ख़ारिजी इलाज भी नाजाइज़ है मस्लन ज़ख़्म में शराब लगाई या किसी जानवर को ज़ख़्म है उसपर शराब लगाई या बच्चे के इलाज में शराब का इस्तेअ्माल, इन सब में वह गुनहगार होगा जिसने इसको इस्तेअ्माल कराया। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– उंगली में एक क़िस्म का फोड़ा निकलता है और उसका इलाज इस तरह किया जाता है कि जानवर का पित्ता उस उंगली में बाँध दिया जाता है फ़तवा इस पर है कि ऐसा करना जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– बाज़ औराम (सूजन) में आटा गूँधकर बाँधा जाता है या लेई पकाकर बाँधते हैं या कच्ची, पक्की रोटी बाँधते हैं यह जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– इलाज के लिए हुक़्ना करने यानी अ़मल देने में ह़र्ज नहीं जबकि हुक़्ना ऐसी चीज़ का न हो जो ह़राम है मस्लन शराब। (हिदाया)

मसअ्ला.13:– बाज़ अमराज़ में मरीज़ को बेहोश करना पड़ता है ताकि गोश्त काटा जा सके या हड्डी वग़ैरा को जोड़ा जासके या ज़ख़्म में टांके लगाये जायें इस ज़रूरत से दवा से बेहोश करना जाइज़ है। (रद्दुलमुहतार)

मसअला.14:– हुक्ना देने में बाज़ मरतबा उस जगह की तरफ़ नज़र करने या छूने की नोबत आती है ब'वजहे ज़रूरत ऐसा करना जाइज़ है। (ज़ैलई)

मसअला.15:– इस्क़ाते हमल के लिये दवा इस्तेअ्माल करना या दाई से हमल साकित कराना मनअ् है बच्चे की सूरत बनी हो या न बनी हो दोनों का एक हुक्म है हाँ अगर उज़्र हो मस्लन औरत के शीर ख़्वार बच्चा (दूध पीने वाला बच्चा) है और बाप के पास इतना नहीं कि दाया मुक़र्रर करे, या दाया दस्तयाब नहीं होती और हमल से दूध ख़ुश्क होजायेगा और बच्चे के हलाक होने का अन्देशा है तो इस मजबूरी से हमल साकित किया जा सकता है बशर्ते कि उसके आज़ा (जिस्म के हिस्से) न बने हों और उसकी मुद्दत एक सौ बीस दिन है। (रद्दुल'मुहतार)

लहव व लइब का बयान

'खेल कूद का बयान'

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ يَتَّخِذَهَا هُزُوًا اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ﴾

"और कुछ लोग खेल की बात ख़रीदते हैं कि अल्लाह की राह से बहकादें। बे'समझे और उसे हँसी बनालें उनके लिये ज़िल्लत का अज़ाब है"।

हदीस (1) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद और इब्ने माजा ने उक़बा इब्ने आमिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जितनी चीज़ों से आदमी लहव करता है सब बातिल हैं मगर कमान से तीर चलाना और घोड़े को अदब देना और ज़ौजा के साथ मलाइबत कि यह तीनों हक़ हैं"।

हदीस (2) इमाम अहमद व मुस्लिम व अबूदाऊद व इब्ने माजा ने बरीदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिसने नर्द'शेर खेला गोया सुअर के गोश्त व ख़ून में अपना हाथ डालदिया"

दूसरी रिवायत अबू'मूसा रदियल्लाहु तआला अन्हु से है कि उसने अल्लाह व रसूल की नाफ़रमानी की।

हदीस (3) इमाम अहमद ने अबू अ़ब्दुर्रहमान ख़तमी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स नर्द खेलता है फिर नमाज़ पढ़ने उठता है उसकी मिसाल उस शख़्स की तरह है जो पीप और सुअर के ख़ून से वज़ू करके नमाज़ पढ़ने खड़ा होता है"।

हदीस (4) दैलमी ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "असहाबे शाह जहन्नम में हैं जो यह कहते हैं कि मैंने तेरे बादशाह को मार डाला इससे मुराद शतरंज खेलने वाले हैं जो बादशाह पर शह दिया करते हैं और मात करते हैं।

हदीस (5) बैहक़ी ने हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की वह फ़रमाते हैं शतरंज अजिमयों का जुआ है और इब्ने शहाब ने अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की वह कहते हैं कि शतरंज नहीं खेलेगा मगर ख़ताकार और उन्हीं से दूसरी रिवायत यह है कि वह बातिल से है और अल्लाह तआला बातिल को दोस्त नहीं रखता।

हदीस (6) अबूदाऊद व इब्ने माजा ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से और इब्ने माजा ने अनस व उसमान रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक शख़्स को कबूतरी के पीछे भागते देखा फ़रमाया "शैताना के पीछे पीछे शैतान जा रहा है"।

हदीस (7) तिर्मिज़ी ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चौपायों को लड़ाने से मनअ् फ़रमाया।

हदीस (8) बज़्ज़ार ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "दो आवाज़ें दुनिया व आख़िरत में मलऊन हैं नग़मे के वक़्त

बाजे की आवाज़ और मुसीबत के वक़्त रोने की आवाज़"।
हदीस (9) बैहक़ी ने जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रामाया कि गाने से दिल में निफ़ाक उगता है जिस तरह पानी से खेती उगती है।
हदीस (10) तिबरानी ने इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गाने से और गाना सुनने से और गीबत से और ग़ीबत सुनने से और चुग़ली करने और चुग़ली सुनने से मनअ़ फ़रमाया।
हदीस (11) बैहक़ी ने इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "अल्लाह तआला ने शराब और जुवा और कूबा (ढोल) हराम किया और फ़रमाया हर नशा वाली चीज़ हराम है"।
हदीस (12) अबू दाऊद ने हज़रत आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कहती हैं मैं गुड़ियाँ खेला करती थी और कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ऐसे वक़्त तशरीफ़ लाते कि लड़कियाँ मेरे पास होतीं जब हुज़ूर तशरीफ़ लाते लड़कियाँ चली जातीं और जब हुज़ूर चले जाते लड़कियाँ आजातीं।
हदीस (13) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी कहते हैं मैं नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम के यहाँ गुड़ियों से खेला करती थी और मेरे साथ चन्द दूसरी लड़कियाँ भी खेलतीं जब हुज़ूर तशरीफ़ लाते वह छुप जातीं हुज़ूर उनको मेरे पास भेज देते वह मेरे पास आकर खेलने लगतीं।
हदीस (14) अबू दाऊद ने हज़रत आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ग़ज़वाए तबूक या ख़ैबर से तशरीफ़ लाये और उन के ताक़ पर गुड़ियाँ थीं और पर्दा पड़ा हुआ था हवा चली और पर्दे का किनारा हट गया हज़रत आइशा की गुड़ियाँ दिखाई दीं हुज़ूर ने फ़रमाया आइशा यह क्या हैं अ़र्ज़ की मेरी गुड़ियाँ हैं उन गुड़ियों के दरम्यान में कपड़े का एक घोड़ा था जिसके दो बाज़ू थे। हुज़ूर ने उस घोड़े की तरफ़ इशारा करके फ़रमाया कि गुड़ियों के बीच में यह क्या है अ़र्ज़ की यह घोड़ा है। इरशाद फ़रमाया "घोड़े के यह क्या हैं अ़र्ज़ की यह घोड़े के बाज़ू हैं इरशाद फ़रमाया घोड़े के लिये बाज़ू! हज़रत आइशा ने अ़र्ज़ किया आपने नहीं सुना है कि हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम के घोड़ों के बाज़ू थे हुज़ूर ने सुनकर तबस्सुम फ़रमाया"।
मसअ्ला.1:– नोबत बजाना अगर तफ़ाख़ुर के लिये हो तो ना'जाइज़ है और अगर लोगों को इससे मुतनब्बेह करना मक़सूद हो और नफ़ख़ाते सूर याद दिलाने के लिये हो तो तीन वक़्तों में नोबत बजाने की इजाज़त है बादे अ़स्र और बादे इशा और बादे निस्फ़ शब कि उन औक़ात में नोबत को नफ़ख़े सूर से मुशाबहत है। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.2:– यह नियत बहुत अच्छी है अगर नोबत बजवाने वालों को भी इस का ध्यान हो और काश सुनने वालों को भी नोबत की आवाज़ सुनकर नफ़ख़ाते सूर याद आयें मगर इस ज़माने में ऐसे लोग कहाँ यहाँ तो नोबत से मक़सूद धूम–धाम और शादी ब्याह की रौनक़ व ज़ीनत है।
मसअ्ला.3:– ईद के दिन और शादियों में दफ़ बजाना जाइज़ है जब कि सादे दफ़ हों उसमें झांज न हों और क़वाइदे मैसीक़ी पर न बजाये जायें यानी महज़ ढप ढप की बे सुरी आवाज़ से निकाह का एअ़लान मक़सूद हो। (रद्दुल मुहतार, आलमगीरी)
मसअ्ला.4:– लोगों को बेदार करने और ख़बरदार करने के इरादे से बुगल बजाना जाइज़ है जैसे हम्माम में बुगल इस लिये बजाते हैं कि लोगों को इत्तिला होजाये कि हम्माम खुल गया, रमज़ान शरीफ़ में सहरी खाने के वक़्त बाज़ शहरों में नक़्क़ारे बजते हैं जिनसे यह मक़सूद होता है कि लोग सहरी खाने के लिये बेदार होजायें और उन्हें मअ़लूम होजाये कि अभी सहरी का वक़्त बाक़ी है यह

जाइज़ है कि यह सूरत लहव व लइब में दाख़िल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार) उसी तरह कारख़ानों में काम शुरूअ् होने के वक़्त और ख़त्म के वक़्त सीटी बजा करती है यह जाइज़ है कि लहव मक़सूद नहीं बल्कि इत्तिला देने के लिये यह सीटी बजाई जाती है इसी तरह रेल गाड़ी की सीटी से भी मक़सूद यही होता है कि लोगों को मअ्लूम होजाये कि गाड़ी छूट रही है या इसी क़िस्म के दूसरे सहीह मक़सद के लिये सीटी बजती है यह भी जाइज़ है।

मसअ्ला.5:– गन्जफ़ा, चौसर खेलना ना'जाइज़ है शतरंज का भी यही हुक्म है उसी तरह लहव व लइब की जितनी क़िस्में हैं सब बातिल हैं सिर्फ़ तीन क़िस्म के लहव (खेल) की हदीस में इजाज़त है बीवी से मुलाअ़बत और घोड़े की सवारी और तीर अन्दाजी करना। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला.6:– नाचना, ताली बजाना, सितारा, एक तारा, दो तारा, हारमूनियम, चंग, तम्बूरा बजाना उसी तरह दूसरे क़िस्म के बाजे सब ना'जाइज़ हैं। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.7:– मुतसव्विफ़ा–ए–ज़माना (इस ज़माने के कुछ सूफ़ी) कि मज़ामीर के साथ क़व्वाली सुनते हैं और कभी उछलते, कूदते और नाचने लगते हैं इस क़िस्म का गाना बजाना ना'जाइज़ है ऐसी महफ़िल में जाना और वहाँ बैठना ना'जाइज़ है मशाइख़ से इस क़िस्म के गाने का कोई सुबूत नहीं। जो चीज़ मशाइख़ से साबित है वह फ़क़त यह है कि अगर कभी किसी ने उनके सामने कोई ऐसा शेअ्र पढ़ दिया जो उनके हाल व कैफ़ के मुवाफ़िक़ है तो उनपर कैफ़ियत व रिक़्क़त तारी होगई और बे'ख़ुद होकर खड़े होगये और इस हाले वारफ़्तगी में उनसे हरकाते ग़ैर इख़्तियारिया सादिर हुए इसमें कोई हरज नहीं।

मशाइख़ व बुज़ुर्गाने दीन के अहवाल और उन मुतसव्विफ़ा के हाल व क़ाल में ज़मीन, आसमान का फ़र्क़ है यहाँ मज़ामीर के साथ महफ़िलें मुन्अ़क़िद की जाती हैं जिनमें फ़ुस्साक़ व फ़ुज्जार का इज्तिमाअ् होता है ना'अहलों का मजमअ् होता है। गाने वालों में अकसर बे शरअ् होते हैं तालियाँ बजाते और मज़ामीर के साथ गाते हैं और ख़ूब उछलते, कूदते, नाचते, थिरकते हैं और उसका नाम हाल रखते हैं उन हरकात को सूफ़िया–ए–किराम के अहवाल से क्या निस्बत यहाँ सब चीजें इख़्तियारी हैं वहाँ बे इख़्तियारी थीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– कबूतर पालना अगर उड़ाने के लिये न हो तो जाइज़ है और अगर कबूतरों को उड़ाता है तो ना'जाइज़ कि यह भी एक क़िस्म का लहव (खेल) है और अगर कबूतर उड़ाने के लिये छत पर चढ़ता है जिससे लोगों की बे'पर्दगी होती है या उड़ाने में कंकरियाँ फेंकता है जिनसे लोगों के बर्तन टूटने का अन्देशा है तो उसको सख़्ती से मना किया जायेगा और सज़ा दीजायेगी और उस पर भी न माने तो हुकूमत की जानिब से उसके कबूतर ज़बह करके उसी को देदिये जायें ताकि उड़ाने का सिल्सिला ही मुनक़तअ् (ख़त्म) होजाये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– जानवरों को लड़ाना मसलन मुर्ग़, बटेर, तीतर, मेंढे, भैंसे वग़ैरा कि उन जानवरों को बाज़ लोग लड़ाते हैं यह हराम है और इसमें शिरकत करना या उसका तमाशा देखना भी ना'जाइज़ है।

मसअ्ला.10:– आम के ज़माने में नो रोज़ (यानी ख़ुशी का दिन) करने नोजवान लड़के बाग़ों में जाते हैं और बाद में छिलके गुठली से खेलते हैं इसमें हरज नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– कुश्ती लड़ना अगर लहव व लइब (खेल'कूद) के तौर पर न हो बल्कि इस लिये हो कि जिस्म में क़ुव्वत आये और कुफ़्फ़ार से लड़ने में काम दे यह जाइज़ व मुस्तहसन व कारे सवाब है बशर्ते कि सित्र'पोशी के साथ हो आजकल बरहना होकर सिर्फ़ एक लंगोट या जांगिया पहनकर लड़ते हैं कि सारी रानें खुली होती हैं यह ना'जाइज़ है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने रुकाना से कुश्ती लड़ी और तीन मरतबा पछाड़ा क्योंकि रुकाना ने यह कहा था कि अगर आप मुझे पछाड़दें तो ईमान लाऊँगा फिर यह मुसलमान होगये। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.12:– हंसी, मज़ाक़ में अगर बेहूदा बातें गाली, गलोज और किसी मुस्लिम की ईज़ा रसानी

(तक्लीफ़ पहुँचाना) न हो महज़ पुर'लुत्फ़ और दिल खुश कुन बातें हों जिनसे अहले मज्लिस को हंसी आये और खुश हों इस में हरज नहीं। (आलमगीरी)

अशआर का बयान

अल्लाह तआला फ़रमाता है

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِیْ كُلِّ وَادٍ یَّهِیْمُوْنَ وَ اَنَّهُمْ یَقُوْلُوْنَ مَا لَا یَفْعَلُوْنَ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ ذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِیْرًا وَّ انْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا

और शाइरों की पैरवी गुमराह करते हैं क्या तूने न देखा कि वह हर नाल में भटकते फिरते हैं और कहते हैं जो नही करते मगर वह जो ईमान लाये और अच्छे काम किये और बकसरत अल्लाह की याद की और बदला लिया इसके बाद कि उन पर ज़ुल्म हुआ"। यानी उनके लिये यह हुक्म नहीं।

हदीस (1) सहीह बुख़ारी में उबई बिन कअ्ब रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "बाज़ अशआर हिकमत हैं"।

हदीस (2) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में बर्रा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हस्सान बिन साबित रदियल्लाहु तआला अन्हु से फ़रमाया कि "मुश्रिकीन की हिजो (बुराई) करो जिब्रील तुम्हारे साथ हैं" और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हस्सान से फ़रमाते "तुम मेरी तरफ़ से जवाब दो। इलाही तू रूहुल कुदस से हस्सान की ताईद फ़रमा"।

हदीस (3) सहीह मुस्लिम में हज़रत आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी कहती हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हस्सान से यह फ़रमाते सुना कि रूहुल'कुदस हमेशा तुम्हारी ताईद में है जब तक तुम अल्लाह व रसूल की तरफ़ से मुदाफ़अत करते रहोगे।

हदीस (4) दारे क़ुत्नी ने हज़रत आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास शेअ्र का ज़िक्र आया हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया "वह एक कलाम है अच्छा है तो अच्छा है और बुरा है तो बुरा"।

हदीस (5) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "आदमी का पेट पीप से भरजाये जो उसे फ़ासिद करदे यह बेहतर है उससे कि शेअ्र से भरा हो"।

हदीस (6) सहीह मुस्लिम में अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हमराह अर्ज में जारहे थे एक शाइर शेअ्र पढ़ता हुआ सामने आया हुज़ूर ने फ़रमाया "शैतान को पकड़ो आदमी का जौफ़ पीप से भरा हो यह उससे बेहतर है कि शेअ्र से भरा हो"।

हदीस (7) इमाम अहमद ने सअ्द बिन अबी वक़्क़ास रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "क़ियामत क़ाइम न होगी जब तक ऐसे लोग ज़ाहिर न हों जो अपनी ज़बानों के ज़रीआ से खायेंगे जिस तरह गाय अपनी ज़बान से खाती है"।

यानी उनका ज़रीआ–ए–रिज़्क़ लोगों की तअ्रीफ़ व मज़म्मत करना है और उसमें हक़ व नाहक़ का बिल'कुल ख़याल न करेंगे जिस तरह गाय इसका ख़याल नहीं करती है कि यह चीज़ मुफ़ीद है या मुज़िर जो चीज़ ज़बान के सामने आगई खागई।

इन अहादीस से यह मालूम हुआ कि अश्आर अच्छे भी होते हैं और बुरे भी अगर अल्लाह व रसूल की तअ्रीफ़ के अश्आर हों या उनमें हिकमत की बातें हों अच्छे अख़लाक़ की तअ्लीम हो तो अच्छे हैं और अगर लग़्व व बातिल पर मुश्तमिल हों तो बुरे हैं और चूंकि अकस्र शोअ्रा ऐसे ही बे'तुकी हांकते हैं इस वजह से उनकी मज़म्मत की जाती है।

मसअ्ला.1:– जो अश्आर मुबाह हों उनके पढ़ने में हरज नहीं। अश्आर में अगर किसी मख़सूस औरत के औसाफ़ का ज़िक्र हो और वह ज़िन्दा हो तो पढ़ना मकरूह है और मरचुकी हो या ख़ास औरत का ज़िक्र न हो तो पढ़ना जाइज़ है शेअ्र में लड़के का ज़िक्र हो तो वही हुक्म है जो औरत

के मुतअल्लिक़ अश्आर का है। (आलमगीरी)
मसअ्ला.2:– अश्आर के पढ़ने से अगर यह मक़सूद हो कि उनके ज़रीआ से तफ़सीर व ह़दीस् में मदद मिले यानी अरब के मुहावरात और उस्लूबे कलाम पर मुत्तलअ् हो जैसा कि शोअ्रा ए जाहिलियत के कलाम से इस्तिदलाल किया जाता है उसमें कोई ह़रज नहीं। (आलमगीरी)

झूट का बयान

झूट ऐसी बुरी चीज़ है कि हर मज़हब वाले उसकी बुराई करते हैं तमाम अदयान (धर्मों) में यह ह़राम है इस्लाम ने इससे बचने की बहुत ताकीद की क़ुर्आन मजीद में बहुत मवाक़ेअ् पर इसकी मज़म्मत फ़रमाई और झूट बोलने वालों पर ख़ुदा की लअ्नत आई ह़दीस़ों में भी इसकी बुराई ज़िक्र की गई इसके मुतअल्लिक़ बाज़ अह़ादीस् ज़िक्र की जाती हैं।

ह़दीस् (1) सह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं "सि़द्क़ (सच) को लाज़िम करलो क्योंकि सच्चाई नेकी की त़रफ़ लेजाती है और नेकी जन्नत का रास्ता दिखाती है आदमी बराबर सच बोलता रहता है और सच बोलने की कोशिश करता रहता है यहाँ तक कि वह अल्लाह के नज़्दीक सि़द्दीक़ लिख दिया जाता है और झूट से बचो क्योंकि झूट फुजूर की त़रफ़ ले जाता है और फ़ुजूर जहन्नम का रास्ता दिखाता है और आदमी बराबर झूट बोलता रहता है और झूट बोलने की कोशिश करता है यहाँ तक कि अल्लाह के नज़्दीक कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है।

ह़दीस् (2) तिर्मिज़ी ने अनस रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स़ झूट बोलना छोड़दे और वह बाति़ल है (यानी झूट छोड़ने की चीज़ ही है) उसके लिये जन्नत के किनारे में मकान बनाया जायेगा और जिसने झगड़ा करना छोड़ा और वह ह़क़ पर है यानी बा'वजूद ह़क़ पर होने के झगड़ा नहीं करता उसके लिये वस्त जन्नत (जन्नत के दरम्यान) में मकान बनाया जायेगा और जिसने अपने अख़लाक़ अच्छे किये उस के लिये जन्नत के आ़ला दर्जे में मकान बनाया जायेगा।

ह़दीस् (3) तिर्मिज़ी ने इब्ने उ़मर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब बन्दा झूट बोलता है उसकी बदबू से फ़िरिश्ता एक मील दूर होजाता है"।

ह़दीस् (4) अबू'दाऊद ने सुफ़यान बिन असीद ह़ज़रमी रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना कि "बड़ी ख़्यानत की यह बात है कि तू अपने भाई से कोई बात कहे और वह तुझे उस बात में सच्चा जान रहा है और तू उससे झूट बोल रहा है"।

ह़दीस् (5) इमाम अह़मद व बैहक़ी ने अबू'उमामा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "मोमिन की त़बअ् (फ़ित़रत) में तमाम ख़सलतें होसकती हैं मगर ख़्यानत और झूट" यानी यह दोनों चीज़ें ईमान के ख़िलाफ़ हैं मोमिन को उनसे दूर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।

ह़दीस् (6) इमाम मालिक व बैहक़ी ने स़फ़वान इब्ने सुलैम से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से पूछा गया क्या मोमिन बुज़दिल होता है फ़रमाया 'हाँ' फिर अ़र्ज़ की गई क्या मोमिन बख़ील होता है फ़रमाया 'हाँ' फिर कहा गया क्या मोमिन कज़्ज़ाब होता है फ़रमाया 'नहीं'।

ह़दीस् (7) इमाम अह़मद ने ह़ज़रत अबू'बक्र रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "झूट से बचो क्योंकि ईमान से मुख़ालिफ़ है"।

ह़दीस् (8) इमाम अह़मद ने अबू हुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "बन्दा पूरा मोमिन नहीं होता जब तक मज़ाक़ में भी

झूट को न छोड़दे और झगड़ा करना न छोड़ दे अगर्चे सच्चा हो"।

हदीस् (9) इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व दारमी ने ब'रिवायत बहज़ बिन हकीम अन अबीहि अन जद्देही रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "हलाकत है उसके लिये जो बात करता है और लोगों को हंसाने के लिये झूट बोलता है उसके लिये हलाकत है, उसके लिये हलाकत है"।

हदीस् (10) बैहकी ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "बन्दा बात करता है और महज़ इस लिये करता है कि लोगों को हंसाये इसकी वजह से जहन्नम की इतनी गहराई में गिरता है जो आसमान व ज़मीन के दरम्यान के फ़ासिले से ज़्यादा है और ज़बान की वजह से जितनी लग़्ज़िश होती है वह उ से कहीं ज़्यादा है जितनी क़दम से लग़्ज़िश होती है"।

हदीस् (11) अबूदाऊद व बैहकी ने अब्दुल्लाह बिन आमिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे मकान में तशरीफ़ फ़रमा थे मेरी माँ ने मुझे बुलाया कि आओ! तुम्हें दूंगी। हुज़ूर ने फ़रमाया "क्या चीज़ देने का इरादा है" उन्होंने कहा खजूर दूंगी इरशाद फ़रमाया "अगर तू कुछ नहीं देती तो यह तेरे ज़िम्मे झूट लिखा जाता"।

हदीस् (12) बैहकी ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया झूट से मुँह काला होता है और चुग़ली से क़ब्र का अज़ाब है।

हदीस् (13) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया वह शख़्स झूटा नहीं है जो लोगों के दरम्यान में इस्लाह करता है, अच्छी बात कहता है और अच्छी बात पहुँचाता है यानी एक की तरफ़ से दूसरे के पास अच्छी बात कहता है जो बात उसने नहीं कही है वह कहता है मस्लन उसने तुम्हें सलाम कहा है तुम्हारी तअ़रीफ़ करता था।

हदीस् (14) तिर्मिज़ी ने असमा बिन्ते यज़ीद रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "झूट कहीं ठीक नहीं मगर तीन जगहों में मर्द अपनी औरत को राज़ी करने के लिये बात करे और लड़ाई में झूट बोलना और लोगों के दरम्यान में सुलह कराने के लिये झूट बोलना"।

मसअ्ला.1:– तीन सूरतों में झूट बोलना जाइज़ है यानी उसमें गुनाह नहीं एक जंग की सूरत में कि यहाँ अपने मक़ाबिल को धोका देना जाइज़ है उसी तरह जब ज़ालिम ज़ुल्म करना चाहता हो उसके ज़ुल्म से बचने के लिये भी जाइज़ है दूसरी सूरत यह है कि दो मुसलमानों में इख़्तिलाफ़ है और यह उन दोनों में सुलह कराना चाहता है मस्लन एक के सामने यह कहदे कि वह तुम्हें अच्छा जानता है तुम्हारी तअ़रीफ़ करता था या उसने तुम्हें सलाम कहला भेजा है और दूसरे के पास भी उसी किस्म की बातें करे ताकि दोनों में अदावत कम होजाये और सुलह होजाये तीसरी सूरत यह है कि बीवी को खुश करने के लिये कोई बात ख़िलाफ़े वाक़िआ कहदे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– तौरिया यानी लफ़्ज़ के जो ज़ाहिरी मअ़्ना हैं वह ग़लत हैं मगर उसने दूसरे मअ़्ना मुराद लिये जो सहीह हैं ऐसा करना बिला'हाजत जाइज़ नहीं और हाजत हो तो जाइज़ है तौरिया की मिसाल यह है कि तुमने किसी को खाने के लिये बुलाया, वह कहता है मैंने खाना खालिया इस के ज़ाहिर मअ़्ना यह हैं कि उस वक़्त का खाना खालिया है मगर वह यह मुराद लेता है कि कल खाया है यह भी झूट में दाख़िल है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– एहयाए हक़ (हक़ को ज़िन्दा करने के लिये) के लिये तौरिया जाइज़ है मस्लन शफ़ीअ़ को रास्ते में जायदादे मश्फ़ूआ की बैअ़ का इल्म हुआ और उस वक़्त लोगों को गवाह न बना सकता हो तो सुबह को गवाहों के सामने यह कह सकता है कि मुझे बैअ़ का इस वक़्त इल्म हुआ। दूसरी

मिसाल यह है कि लड़की को रात को हैज़ आया और उसने ख़्यारे बुलूग़ के तौर पर अपने नफ़्स को इख़्तियार किया मगर गवाह कोई नहीं है तो सुबह को लोगों के सामने यह कह सकती है कि मैंने इस वक़्त खून देखा। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.4:– जिस अच्छे मक़सद को सच बोलकर भी हासिल किया जा सकता हो और झूट बोलकर भी हासिल कर सकता हो उसके हासिल करने के लिये झूट बोलना हराम है और अगर झूट से हासिल कर सकता हो सच बोलने में हासिल न होसकता हो तो बाज़ सूरतों में किज़्ब भी मुबाह है बल्कि बाज़ सूरतों में वाजिब है जैसे किसी बे'गुनाह को ज़ालिम शख़्स क़त्ल करना चाहता है या ईज़ा देना चाहता है वह डर से छुपा हुआ है ज़ालिम ने किसी से दरयाफ़्त किया, कि वह कहाँ है यह कह सकता है मुझे मालूम नहीं अगर्चे जानता हो। या किसी की अमानत इसके पास है कोई उसे छीनना चाहता है पूछता है कि अमानत कहाँ है यह इन्कार कर सकता है कह सकता है कि मेरे पास उसकी अमानत नहीं। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.5:– किसी ने छुपकर बे'हयाई का काम किया है उससे दरयाफ़्त किया गया कि तूने यह काम किया वह इन्कार कर सकता है क्योंकि ऐसे काम को लोगों के सामने ज़ाहिर कर देना यह दूसरा गुनाह होगा इसी तरह अगर अपने मुस्लिम भाई के भेद पर मुत्तलअ् हो तो उसके बयान करने से भी इन्कार कर सकता है। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.6:– अगर सच बोलने में फ़साद पैदा होता हो तो इस सूरत में भी झूट बोलना जाइज़ है और अगर झूट बोलने में फ़साद होता हो तो हराम है और अगर शक हो मालूम नहीं कि सच बोलने में फ़साद होगा या झूट बोलने में जब भी झूट बोलना हराम है। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.7:– जिस क़िस्म के मुबालग़ा का आदतन रिवाज है लोग उसे मुबालग़ा ही पर महमूल करते हैं उसके हक़ीक़ी मअ्ना मुराद नहीं लेते वह झूट में दाख़िल नहीं मस्लन यह कहा कि मैं तुम्हारे पास हज़ार मरतबा आया, हज़ार मरतबा मैंने तुमसे यह कहा यहाँ हज़ार का अ़दद मुराद नहीं बल्कि कई मरतबा आना और कहना मुराद है यह लफ़्ज़ ऐसे मौक़े पर नहीं बोला जायेगा कि एक ही मरतबा आया हो या एक ही मरतबा कहा हो और अगर एक मरतबा आया और यह कह दिया कि हज़ार मरतबा आया तो झूटा है। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.8:– तअ्रीज़ की बाज़ सूरतें जिनमें लोगों का दिल खुश करना और मिज़ाह (हंसी की बात) मक़सूद हो जाइज़ है जैसाकि हदीस में फ़रमाया कि "जन्नत में बुढ़िया नहीं जायेगी या मैं तुझे ऊँटनी पर सवार करूँगा"। (रद्दुल'मुहतार)

ज़बान को रोकना और गाली गलोज, ग़ीबत और चुग़ली से परहेज़ करना

हदीस् (1) सहीह बुख़ारी में सहल इब्ने सअ्द रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स मेरे लिये उस चीज़ का ज़ामिन होजाये जो उसके जबड़ों की दरम्यान में है यानी ज़बान का और उसका जो उसके दोनों पाँव के दरम्यान है यानी शर्मगाह का मैं उसके लिये जन्नत का ज़ामिन हूँ"। यानी ज़बान और शर्मगाह को ममनूआ़त से बचाने पर जन्नत का वअ्दा है।

हदीस् (2) सहीह बुख़ारी में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बन्दा अल्लाह तआ़ला की खुश्नूदी की बात बोलता है और उसकी तरफ़ तवज्जोह भी नहीं करता यानी यह ख़्याल भी नहीं करता कि अल्लाह तआ़ला इतना खुश होगा अल्लाह तआ़ला उसको दर्जों बलन्द करता है। और बन्दा अल्लाह तआ़ला की नाखुशी की बात बोलता है और उसकी तरफ़ धयान नहीं धरता यानी उसके ज़हिन मे यह बात नहीं होती कि अल्लाह तआ़ला उससे इतना नाराज़ होगा इस कलिमा की वजह से जहन्नम में गिरता है

और बुख़ारी व मुस्लिम की एक रिवायत में है कि जहन्नम की इतनी गहराई में गिरता है जो

मुश्रिक व मग़रिब के फ़ासिला से भी ज़्यादा है।

हदीस् (3) तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो चीज़ इन्सान को सबसे ज़्यादा जहन्नम में लेजाने वाली है व दो जौफ़दार (खुक्कल) चीज़ें हैं मुँह और शर्म'गाह"।

हदीस् (4) इमाम अह़मद व तिर्मिज़ी व दारमी व बैहक़ी ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो चुप रहा उसे निजात है"।

हदीस् (5) इमाम अह़मद व तिर्मिज़ी ने उ़क़्बा बिन आ़मिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अ़र्ज़ की निजात क्या है इरशाद फ़रमाया "अपनी ज़बान पर क़ाबू रखो और तुम्हारा घर तुम्हारे लिए गुन्जाइश रखे (यानी बेकार इधर, उधर न जाओ) और अपनी ख़ता पर गिरया करो यानी रोओ।

हदीस् (6) तिर्मिज़ी ने अबूसईद खुदरी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया कि "इब्ने आदम जब सुबह़ करता है तमाम अअ़ज़ा ज़बान के सामने आजिज़ाना यह कहते हैं कि तू खुदा से डर कि हम सब तेरे साथ वा'बस्ता हैं अगर तू सीधी रही तो हम सब सीधे रहेंगे और टेढ़ी होगई तो हम सब टेढ़े होजायेंगे"।

हदीस् (7) इमाम मालिक व अह़मद ने ह़ज़रत अ़ली बिन हुसैन रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से और इब्ने माजा ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से और तिर्मिज़ी व बैहक़ी ने दोनों से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "आदमी के इस्लाम की अच्छाई में से यह है कि ला'यानी (बेकार) चीज़ छोड़दे" यानी जो चीज़ कार'आमद न हो उसमें न पड़े ज़बान व दिल व जवारेह़ को बेकार बातों की तरफ़ मुतवज्जेह न करे।

हदीस् (8) तिर्मिज़ी ने सुफ़यान बिन अ़ब्दुल्लाह सक़फ़ी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह सबसे ज़्यादा किस चीज़ का मुझ पर ख़ौफ़ है यानी किस चीज़ के ज़रर (नुक़सान) का ज़्यादा अन्देशा है, हुज़ूर ने अपनी ज़बान पकड़कर फ़रमाया 'यह है'।

हदीस् (9) बैहक़ी ने शोअ़बुल ईमान में इमरान इब्ने हित्तान से रिवायत की कहते हैं मैं अबूज़र रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के पास गया उन्हें काली कमली ओढ़े हुए मस्जिद में तन्हा बैठा हुआ देखा मैंने कहा अबूज़र यह तन्हाई कैसी उन्होंने कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि "तन्हाई अच्छी है बुरे हम'नशीन से और हम'नशीन सालेह तन्हाई से बेहतर है और अच्छी बात बोलना, ख़ामोशी से बेहतर है, और बुरी बात बोलने से चुप रहना बेहतर है"।

हदीस् (10) बैहक़ी ने इमरान बिन हुसैन रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "सुकूत (ख़ामोशी) पर क़ाइम रहना साठ बरस की इबादत से अफ़ज़ल है।

हदीस् (11) बैहक़ी ने अबूज़र रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने अ़र्ज़ की या रसूलुल्लाह मुझे वसियत फ़रमाईये इरशाद फ़रमाया "मैं तुमको तक़वा की वसियत करता हूँ कि इससे तुम्हारे सब काम आरास्ता होजायेंगे मैंने अ़र्ज़ की और वसियत फ़रमाईये फ़रमाया तिलावते क़ुर्आन और ज़िक्रुल्लाह को लाज़िम करलो कि इसकी वजह से तुम्हारा ज़िक्र आसमान में होगा और ज़मीन में तुम्हारे लिए नूर होगा मैंने कहा और वसियत फ़रमाईये इरशाद फ़रमाया ज़्यादती–ए–ख़ामोशी को लाज़िम करलो कि इससे शैतान दफ़अ़ होगा और तुम्हें दीन के कामों में मदद देगी। मैंने अ़र्ज़ की और वसियत कीजिये फ़रमाया कि ज़्यादा हँसने से बचो कि यह दिल मुर्दा कर देता है और चेहरे के नूर को दूर करता है मैंने कहा और वसियत कीजिये फ़रमाया ह़क़ बोलो अगर्चे कड़वा हो मैंने कहा और वसियत कीजिये फ़रमाया कि अल्लाह के बारे में मलामत करने वाले की मलामत

से न डरो मैंने कहा और वसियत कीजिये फ़रमाया तुमको दूसरे लोगों से रोके वह चीज़ जो तुम अपने नफ़्स से जानते हो यानी जो अपने उ़यूब की त़रफ़ नज़र रखेगा दूसरों के उ़यूब में न पडेगा और काम की बात यह है कि अपने ऐब पर नज़र की जाये ताकि उसके ज़ाइल करने की कोशिश की जाये।

ह़दीस् (12) बैहक़ी ने अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "ऐ अबूज़र क्या मैं तुमको ऐसी दो बातें न बतादूँ जो पीठ पर हलकी हैं और मीज़ान में भारी हैं उन्होंने कहा हाँ इरशाद फ़रमाया ज़्यादा ख़ामोश रहना और ख़ूबीए अख़लाक़। क़सम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है तमाम मख़्लूक़ात ने उनकी मिस्ल पर अ़मल नहीं किया यानी उनकी मिस्ल कोई चीज़ नहीं जिस पर अ़मल किया जाये।

ह़दीस् (13) इमाम मालिक ने असलम से रिवायत की कि एक दिन ह़ज़रत उ़मर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ह़ज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के पास गये और ह़ज़रत सिद्दीक़े अकबर अपनी ज़बान पकड़कर खींच रहे थे ह़ज़रत उ़मर ने अ़र्ज़ की क्या बात है अल्लाह आप की मग़्फ़िरत करे ह़ज़रत सिद्दीक़ ने फ़रमाया इसने मुझे मुहालिक (यानी हलाकतों) में डाला है।

ह़दीस् (14) इमाम अह़मद व बैहक़ी ने उ़बादा इब्ने स़ामित रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि नबी करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "मेरे लिए छः चीज़ों के ज़ामिन हो जाओ मैं तुम्हारे लिए जन्नत का ज़िम्मेदार होता हूँ (1)जब बात करो सच बोलो और (2)जब वअ़्दा करो उसे पूरा करो और (3)जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाये उसे अदा करो और (4)अपनी शर्मगाहों की ह़िफ़ाज़त करो और (5)अपनी निगाहें नीची रखो और (6)अपने हाथों को रोको" यानी हाथ से किसी को ईज़ा न पहुँचाओ।

ह़दीस् (15) तिर्मिज़ी ने अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "मोमिन न त़अ़्न करने वाला होता है, न लअ़्नत करने वाला न फ़ह़्श बकने वाला बेहूदा होता है"।

ह़दीस् (16) तिर्मिज़ी ने इब्ने उ़मर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया मोमिन को यह न चाहिए कि लअ़्नत करने वाला हो।

ह़दीस् (17) स़ह़ीह़ मुस्लिम में अबूदरदा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि "जो लोग लअ़्नत करते हैं वह क़ियामत के दिन न गवाह होंगे न किसी के सिफ़ारिशी"।

ह़दीस् (18) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने समुरा बिन जुन्दुब रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अल्लाह की लअ़्नत व ग़ज़ब और जहन्नम के साथ आपस में लअ़्नत न करो"।

ह़दीस् (19) अबूदाऊद ने अबूदरदा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं जिसने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना कि "जब बन्दा किसी चीज़ पर लअ़्नत करता है तो वह लअ़्नत आसमान को जाती है आसमान के दरवाज़े बन्द करदिये जाते हैं फिर ज़मीन पर उतारी जाती है उसके दरवाज़े भी बन्द कर दिये जाते हैं फिर दहिने, बायें जाती है जब कहीं रास्ता नहीं पाती तो उसकी त़रफ़ आती है जिसपर लअ़्नत भेजी गई अगर उसे इस का अहल पाती है तो उसपर पड़ती है वरना भेजने वाले पर आजाती है"।

ह़दीस् (20) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने इब्ने अ़ब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि एक शख़्स की चादर को हवा के तेज़ झोंके लगे उसने हवा पर लअ़्नत की रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "हवा पर लअ़्नत न करो कि वह ख़ुदा की त़रफ़ से मामूर है और जो शख़्स ऐसी चीज़ पर लअ़्नत करता है जो लअ़्नत की अहल न हो तो लअ़्नत उसी पर लौट आती है"।

ह़दीस् (21) तिर्मिज़ी ने उबई रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु

तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "हवा को गाली न दो और जब देखो कि तुम्हें बुरी लगती है तो यह कहो कि इलाही मैं उसके ख़ैर का सुवाल करता हूँ और जो कुछ इस में ख़ैर है और जिस ख़ैर का उसे हुक्म हुआ और मैं उसके शर से पनाह मांगता हूँ और जो कुछ इस में शर है और उस के शर से जिसका उसे हुक्म हआ"।

हदीस़ (22) सह़ीह़ मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत है कि एक शख़्स ने अपनी सवारी के जानवर पर लअ़नत की रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "इस से उतर जाओ हमारे साथ में मलऊन चीज़ को लेकर न चलो। अपने ऊपर और अपनी औलाद व अम्वाल पर बद'दुआ़ न करो कहीं ऐसा न हो कि यह बद'दुआ़ उस साअ़त में हो जिस में जो दुआ़ ख़ुदा से की जाये क़बूल होती है"।

हदीस़ (23) त़िबरानी ने स़ाबित इब्ने ज़ह़ाक अन्स़ारी रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "मोमिन पर लअ़नत करना उसके क़त्ल की मिस़्ल है और जो शख़्स़ मोमिन मर्द या औ़रत पर कुफ़्र की तोहमत लगाये तो यह उसके क़त्ल की मिस़्ल है"।

हदीस़ (24) सह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया' जो शख़्स़ अपने भाई को काफ़िर कहे तो उस कलिमे के साथ दोनों में से एक लौटेगा यानी यह कलिमा दोनों में से एक पर पड़ेगा।

हदीस़ (25) सह़ीह़ बुख़ारी में अबू'ज़र रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स़ दूसरे को फ़िस्क़ और कुफ़्र की तोहमत लगाये और वह ऐसा न हो तो इस कहने वाले पर लौटता है।

हदीस़ (26) सह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में अबूज़र रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स़ किसी को काफ़िर कहकर बुलाये या दुश्मने ख़ुदा कहे और वह ऐसा नहीं है तो उसी कहने वाले पर लौटेगा।

हदीस़ (27) बुख़ारी व मुस्लिम व अह़मद व तिर्मिज़ी व निसाई व इब्ने माजा अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊ़द रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम सह़ीह़ मुस्लिम में अनस व अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमााया "मुस्लिम से गाली गलोज करना फ़िस्क़ है और उससे क़िताल कुफ़्र है"।

हदीस़ (28) सह़ीह़ मुस्लिम में अनस व अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "दो शख़्स़ गाली गलोज करने वाले उन्होंने जो कुछ कहा सबका वबाल उसके ज़िम्मे है जिसने शुरूअ़ किया है जब तक मज़लूम तजावुज़ न करे" यानी जितना पहले ने कहा उससे ज़्यादा न कहे।

हदीस़ (29) त़िबरानी ने समुरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अगर कोई किसी को बुरा भला कहना ही चाहता है तो न उस पर इफ़्तिरा करे न उसके वालिदैन को गाली दे, न उस की क़ौम को गाली दे, हाँ अगर उसमें ऐसी बात है जो उसके इ़ल्म में है तो यह कहे कि तू बख़ील है, या तू बुज़दिल है, या तू झूटा है या बहुत सोने वाला है"।

हदीस़ (30) इमाम अह़मद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने अनस रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया फ़ह़श जिस चीज़ में होगा उसे ऐब'दार करदेगा और ह़या जिसमें होगी उसे आरास्ता करदेगी"।

हदीस़ (31) सह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में ह़ज़रत आइशा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हा से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं "अल्लाह तआ़ला के नज़्दीक क़ियामत के दिन सब लोगों में बद'तर मरतबा उसका है कि उसके शर से बचने के लिये लोगों ने उसे

छोड़दिया हो" और एक रिवायत में है कि "उसके फ़हश से बचने के लिये छोड़ दिया हो"।

हदीस् (32) बुख़ारी व मुस्लिम व अहमद व अबूदाऊद ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि "अल्लाह तआला ने फ़रमाया इब्ने आदम मुझे ईज़ा देता है कि दहर को बुरा कहता है दहर तो मैं हूँ मेरे हाथ में सब काम हैं रात और दिन को मैं बदलता हूँ यानी ज़माना को बुरा कहना अल्लाह को बुरा कहना है कि ज़माना में जो कुछ होता है वह सब अल्लाह तआला की तरफ़ से होता है।

हदीस् (33) सहीह मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब कोई शख़्स यह कहे कि सब लोग हलाक होगये तो सबसे ज़्यादा हलाक होने वाला यह है" यानी जो शख़्स तमाम लोगों को गुनहगार और मुस्तहके नार बताये तो सबसे बढ़कर गुनहगार वह खुद है।

हदीस् (34) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "सबसे ज़्यादा बुरा क़ियामत के दिन उसको पाओगे जो ज़ुल वजहैन हो" यानी दोरुख़ा आदमी कि उनके पास एक मुंह से आता है और इनके पास दूसरे मुँह से आता है यानी मुनाफ़िक़ों की तरह कहीं कुछ कहता है और कहीं कुछ कहता है यह नहीं कि एक तरह की बात सब जगह कहे।

हदीस् (35) दारमी ने अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स दुनिया में दोरुख़ा होगा क़ियामत के दिन आग की ज़बान उसके लिये होगी"। अबूदाऊद की रिवायत में है कि "उसके लिये दो ज़बानें आग की होंगी"।

हदीस् (36) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मैंने यह फ़रमाते सुना कि "जन्नत में चुग़लख़ोर नहीं जायेगा"।

हदीस् (37) बैहक़ी ने शोअबुल ईमान में अब्दुर्रहमान इब्ने ग़नम व असमा बिन्ते यज़ीद रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "अल्लाह के नेक बन्दे वह हैं कि उनके देखने से खुदा याद आये और अल्लाह के बुरे बन्दे वह हैं जो चुग़ली खाते हैं, दोस्तों में जुदाई डालते हैं और जो शख़्स जुर्म से बरी है उस पर तकलीफ़ डालना चाहते हैं।

हदीस (38) सहीह मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "तुम्हें मालूम है ग़ीबत क्या है" लोगों ने अर्ज़ की अल्लाह व रसूल खूब जानते हैं इरशाद फ़रमाया "ग़ीबत यह है कि तू अपने भाई का उस चीज़ के साथ ज़िक्र करे जो उसे बुरी लगे" किसी ने अर्ज़ की अगर मेरे भाई में वह मौजूद हो जो मैं कहता हूँ (जब तो ग़ीबत नहीं होगी) फ़रमाया "जो कुछ तुम कहते हो अगर उसमें मौजूद है जब ही तो ग़ीबत है और जब तुम ऐसी बात कहो जो उसमें हो नहीं यह बोहतान है"।

हदीस् (39) इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने हज़रत आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कहती हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कहा सफ़िय्या रदियल्लाहु तआला अन्हा के लिये यह काफ़ी है कि वह ऐसी हैं, ऐसी हैं यानी पस्त क़द हैं। हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया कि "तुमने ऐसा कलिमा कहा कि अगर समन्दर में मिलाया जाये तो उसपर ग़ालिब आजाये यानी किसी पस्त क़द को नाटा, ठिगना कहना भी ग़ीबत में दाख़िल है जब कि बिला ज़रूरत हो।

हदीस् (40) बैहक़ी ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की दो शख़्सों ने ज़ोहर या अस्र की नमाज़ पढ़ी और वह दोनों रोज़ादार थे जब नमाज़ पढ़चुके नबी करीम सल्लल्लाहु

तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया 'तुम दोनों वज़ू करो और नमाज़ का इआदा करो और रोज़ा पूरा करो और दूसरे दिन इस रोज़ा की क़ज़ा करना' उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यह हुक्म किस लिये। इरशाद फ़रमाया 'तुमने फ़ुलाँ शख़्स की ग़ीबत की है'।

हदीस (41) तिर्मिज़ी ने हज़रत आइशा रदियल्ललाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मैं उसको पसन्द नहीं करता कि किसी की नक़्ल करूँ अगर्चे मेरे लिये इतना इतना हो यानी नक़्ल करना दुनिया की किसी चीज के मुक़ाबिल में दुरुस्त नहीं होसकता।

हदीस (42) बैहक़ी ने शोअ्बुल ईमान में अबूसईद रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ग़ीबत ज़िना से ज़्यादा सख़्त चीज़ है लोगों ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ज़िना से ज़्यादा सख़्त ग़ीबत क्योंकर है फ़रमाया कि मर्द ज़िना करता है फिर तौबा करता है अल्लाह तआला उसकी तौबा क़बूल फ़रमाता है ग़ीबत करने वाले की मग़फ़िरत न होगी जब तक वह न मुआफ़ करदे जिसकी ग़ीबत की है और अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत में है कि ज़िना करने वाला तौबा करता है और ग़ीबत करने वाले की तौबा नहीं है।

हदीस (43) बैहक़ी ने दअ्वाते कबीर में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ग़ीबत के कफ़्फ़ारे में यह है कि जिसकी ग़ीबत की है उसके लिये इस्तिग़्फ़ार करे यह कहे अल्लाहुम्मग़्फ़िर'लना व'लहू 'इलाही हमें और उसे बख़्शदे'

हदीस (44) अबूदाऊद ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि माइज़ असलमी रदियल्लाहु तआला अन्हु को जब रज्म किया गया था दो शख़्स आपस में बातें करने लगे एक ने दूसरे से कहा तुम देखो कि अल्लाह ने उसकी पर्दा पोशी की थी मगर उसको नफ़्स ने न छोड़ा कुत्ते की तरह रज्म किया गया हुज़ूर ने सुनकर सुकूत फ़रमाया कुछ देर तक चलते रहे रास्ते में मरा हुआ गधा मिला जो पाँव फैलाये हुए था हुज़ूर ने उन दोनों शख़्सों से फ़रमाया जाओ इस मुर्दार गधे का गोश्त खाओ उन्होंने अर्ज़ की या नबीयल्लाह उसे कौन खायेगा इरशाद फ़रमाया वह जो तुमने अपने भाई की आबरू'रेज़ी की वह इस गधे के खाने से भी ज़्यादा सख़्त है क़सम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है वह (माइज़) इस वक़्त जन्नत की नहरों में ग़ोते लगा रहा है।

हदीस (45) इमाम अहमद व निसाई व इब्ने माजा व हाकिम ने उसामा बिन शरीक रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "ऐ अल्लाह के बन्दो अल्लाह ने हरज उठा लिया जो शख़्स किसी मर्दे मुस्लिम की बतौर ज़ुल्म आबरू'रेज़ी करे वह हरज में है और हलाक हुआ"।

हदीस (46) इमाम अहमद व अबूदाऊद व हाकिम ने मुस्तौरिद बिन शद्दाद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिस शख़्स को किसी मर्दे मुस्लिम की बुराई करने की वजह से खाने को मिला अल्लाह तआला उसको उतना ही जहन्नम से खिलायेगा और जिसको मर्दे मुस्लिम की बुराई की वजह से कपड़ा पहनने को मिला अल्लाह तआला उसको जहन्नम का उतना ही कपड़ा पहनायेगा"।

हदीस (47) इमाम अहमद व अबूदाऊद ने अबू'बर्ज़ा असलमी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "ऐ वह लोग जो ज़बान से ईमान लाये और ईमान उनके दिलों में दाख़िल नहीं हुआ मुसलमान की ग़ीबत न करो और उनकी छुपी हुई बातों की टटोल न करो इसलिये कि जो शख़्स अपने मुसलमान भाई की छुपी हुई चीज़ की टटोल करेगा अल्लाह तआला उसकी पोशीदा चीज़ की टटोल करेगा और जिसकी अल्लाह टटोल करेगा उसको रुसवा करदेगा अगर्चे वह अपने मकान के अन्दर हो।

हदीस (48) इमाम अहमद व अबूदाऊद ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि

तब मुझे मेराज हुई एक कौम पर गुज़रा
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिनके नाखुन तांबे के थे वह अपने मुँह और सीने को नोचते थे मैंने कहा जिब्रील यह कौन लोग हैं जिब्रील ने कहा यह वह हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे और उन की आबरू रेज़ी करते थे।

हदीस (49) अबूदाऊद ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान की सब चीज़ें मुसलमान पर हराम हैं उसका माल और उसकी आबरू और उसका खून। आदमी को बुराई से इतना ही काफी है कि वह अपने मुसलमान भाई को हकीर जाने।

हदीस (50) अबूदाऊद ने मआज इब्ने अनस जोहनी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मुसलमान पर कोई बात कहे उससे मकसद ऐब लगाना हो अल्लाह तआला उसको जहन्नम के पुल पर रोकेगा जब तक उस चीज़ से न निकले जो उसने कही"।

हदीस (51) अबूदाऊद ने जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह और अबू तल्हा इब्ने सहल रदियल्लाहु तआला अन्हुम से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ मर्दे मुस्लिम की हतके हुर्मत (बेइज़्ज़ती) की जाती हो और उसकी आबरू रेज़ी की जाती हो ऐसी जगह जिसने उनकी मदद न की यानी यह खामोश सुनता रहा और उनको मनअ न किया तो अल्लाह तआला उसकी मदद नहीं करेगा जहाँ उसे पसन्द हो कि मदद की जाये और जो शख्स मर्दे मुस्लिम की मदद करेगा ऐसे मौके पर जहाँ उसकी हतके हुर्मत और आबरू रेज़ी की जारही हो अल्लाह तआला उसकी मदद फरमायेगा ऐसे मौके पर जहाँ उसे महबूब है कि मदद की जाये।

हदीस (52) शरह सुन्ना में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि "जिसके सामने उसके मुसलमान भाई की गीबत की जाए और वह उसकी मदद पर कादिर हो और मदद की अल्लाह तआला दुनिया और आखिरत में उस की मदद करेगा और अगर बावजूदे कुदरत उसकी मदद नहीं की तो अल्लाह तआला दुनिया और आखिरत में उसे पकड़ेगा"।

हदीस (53) बैहकी ने असमा बिन्ते यजीद रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया "जो शख्स अपने भाई के गोश्त से उसकी गीबत में रोके यानी मुसलमान की गीबत की जा रही थी उसने रोका तो अल्लाह पर हक है कि उसे जहन्नम से आजाद करदे"।

हदीस (54) शरह सुन्ना में अबूदाऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुसलमान अपने भाई की आबरू से रोके यानी किसी मुस्लिम की आबरू रेज़ी होती थी उसने मनअ किया तो अल्लाह पर हक है कि कियामत के दिन उसको जहन्नम की आग से बचाये इसके बाद इस आयत की तिलावत की

'मुसलमानों की मदद करना हम पर हक है।' وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ

हदीस (55) तिर्मिजी व अबूदाऊद ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया "एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है और मोमिन मोमिन का भाई है उसकी चीजों को हलाक होने से बचाये और गीबत में उसकी हिफाजत करे।

हदीस (56) इमाम अहमद व तिर्मिजी ने उकबा बिन आमिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया "जो शख्स ऐसी चीज देखे जिसको छुपाना चाहिए और उसने पर्दा डालदिया यानी छुपादी तो ऐसा है जैसे मौऊदा (यानी जिन्दा दरगोर) को जिन्दा किया"।

हदीस (57) अबूनईम ने मअरिफा में सबीब बिन सअद बलवी से रिवायत की कि रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "बन्दे को कियामत के दिन उसका दफ़तर खुला हुआ मिलेगा वह उसमें ऐसी नेकियाँ भी देखेगा जिनको किया नहीं है अर्ज़ करेगा ऐ रब यह मेरे लिये कहाँ से आईं मैंने तो उन्हें किया नहीं उससे कहा जायेगा कि यह वह हैं जो तेरी ला'इल्मी में लोगों ने तेरी ग़ीबत की थी"।

हदीस् (58) तिर्मिज़ी ने मआज़ रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जिसने अपने भाई को ऐसे गुनाह पर आर दिलाया जिस से वह तौबा कर चुका है तो मरने से पहले वह ख़ुद उस गुनाह में मुब्तला होजायेगा"।

हदीस् (59) तिर्मिज़ी ने वासिला रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "अपने भाई की शमातत न कर यानी उसकी मुसीबत पर इज़हारे मसर्रत न कर कि अल्लाह तआला उसपर रहम करेगा और तुझे उसमें मुब्तला करदेगा"।

हदीस् (60) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "मेरी सारी उम्मत आफ़ियत में है मगर मुजाहिरीन यानी जो लोग खुल्लम खुल्ला गुनाह करते हैं यह आफ़ियत में नहीं उनकी ग़ीबत और बुराई की जायेगी और आदमी की बे'बाकी से यह है कि रात में उसने कोई काम किया यानी गुनाह का काम और ख़ुदा ने उसको छुपाया और यह सुबह को ख़ुद कहता है कि आज रात में मैंने यह किया ख़ुदा ने उसपर पर्दा डाला था और यह शख़्स परदए इलाही को हटा देता है"।

हदीस् (61) तिबरानी व बैहकी ने ब'रिवायत बहज़ बिन हकीम अन अबीहि अन जद्दिही रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "क्या फ़ाजिर के ज़िक्र से बचते हो उसको लोग कब पहचानेंगे फ़ाजिर का ज़िक्र उस चीज़ के साथ करो जो उसमें है ताकि लोग उस से बचें"।

हदीस् (62) बैहकी ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिसने हया की चादर डालदी उसकी ग़ीबत नहीं यानी ऐसों की बुराई बयान करना ग़ीबत में दाख़िल नहीं"।

हदीस् (63) तिबरानी ने फ़रमाया मुआविया इब्ने हैदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "फ़ासिक की ग़ीबत नहीं है"।

हदीस् (64) सहीह मुस्लिम में मिक़दाद बिन असवद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "मुबालग़ा के साथ मदह करने वालों को जब तुम देखो तो उनके मुँह में ख़ाक डालदो"।

हदीस् (65) सहीह बुख़ारी में अबूमूसा अशअरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक शख़्स को सुना कि दूसरे की तअ्रीफ़ करता है और तअ्रीफ़ में मुबालग़ा करता है इरशाद फ़रमाया "तुमने उसे हलाक करदिया या उसकी पीठ तोड़दी"।

हदीस् (66) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हुज़ूर ने फ़रमाया "तुझे हलाकत हो तूने अपने भाई की गर्दन काटदी" उसको तीन मरतबा फ़रमाया। जिस शख़्स को किसी की तअ्रीफ़ करनी ज़रूरी ही हो तो यह कहे कि मेरे गुमान में फ़ुलाँ ऐसा है अगर उसके इल्म में यह हो कि वह ऐसा है और अल्लाह उसको ख़ूब जानता है और अल्लाह पर किसी का तज़्किया न करे यानी जज़्म और यकीन के साथ किसी की तअ्रीफ़ न करे"।

हदीस् (67) बैहकी ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब फ़ासिक की मदह की जाती है रब तआला ग़ज़ब फ़रमाता है और अर्शे इलाही जुम्बिश करने लगता है"।

मसाइले फ़िक़्हिया:– ग़ीबत के यह मअ्ना हैं कि किसी शख़्स के पोशीदा ऐब को (जिस को वह दूसरों के सामने ज़ाहिर होना पसन्दा न करता हो) उसकी बुराई करने के तौर पर ज़िक्र करना और अगर

उसमें वह बात ही न हो तो यह ग़ीबत नहीं बल्कि बोहतान है"।

कुर्आन मजीद में फ़रमाया।

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ

"तुम आपस में एक दूसरे की गीबत न करो क्या तुममें कोई इस बात को पसन्द करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाये उसको तो तुम बुरा समझते हो।

अहादीस में भी ग़ीबत की बहुत बुराई आई है चन्द हदीसें ज़िक्र करदी गईं उन्हें ग़ौर से पढ़ो। इस हराम से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आजकल मुसलमानों में यह बला बहुत फैली हुई है इससे बचने की तरफ़ बिल्कुल तवज्जोह नहीं करते बहुत कम मज्लिस ऐसी होती हैं जो चुग़ली और ग़ीबत से महफ़ूज़ हों।

मसअला.1:– एक शख़्स नमाज़ पढ़ता है और रोज़े रखता है मगर अपनी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमानों को ज़रर पहुँचाता है उसकी इस ईज़ा रसानी को लोगों के सामने बयान करना ग़ीबत नहीं क्योंकि इस ज़िक्र का मक़सद यह है कि लोग उसकी इस हरकत से वाक़िफ़ होजायें और उससे बचते रहें कहीं ऐसा न हो कि उसकी नमाज़ और रोज़े से धोका खाजायें और मुसीबत में मुब्तला होजायें हदीस में इरशाद फ़रमाया कि "क्या तुम फ़ाजिर के ज़िक्र से डरते हो जो ख़राबी की बात उसमें है बयान करदो ताकि लोग उससे परहेज़ करें और बचें"।(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअला.2:– ऐसे शख़्स का हाल जिसका ज़िक्र ऊपर गुज़रा अगर बादशाह या क़ाज़ी से कहा ताकि उसे सज़ा मिले और अपनी हरकत से बाज़ आजाये यह चुग़ली और ग़ीबत में दाख़िल नहीं(दुर्रेमुख़्तार) यह हुक्म फ़ासिक़ व फ़ाजिर का है जिसके शर से बचाने के लिये लोगों पर उसकी बुराई खोलदेना जाइज़ है और ग़ीबत नहीं अब समझना चाहिए कि बद अक़ीदा लोगों का ज़रर फ़ासिक़ के ज़रर से बहुत ज़ाइद है फ़ासिक़ से जो ज़रर पहुँचेगा वह उससे बहुत कम है जो बद'अक़ीदा लोगों से पहुँचता है फ़ासिक़ से अकस्र दुनियवी ज़रर होता है और बद'मज़हब से तो दीन व ईमान की बर्बादी का ज़रर है और बद'मज़हब अपनी बद'मज़हबी फैलाने के लिये नमाज़, रोज़ा की बज़ाहिर खूब पाबन्दी करते हैं ताकि उनका वक़ार लोगों में क़ाइम हो फिर जो गुमराही की बात करेंगे उनका पूरा अस्र होगा लिहाज़ा ऐसों की बद'मज़हबी का इज़्हार फ़ासिक़ के फ़िस्क़ के इज़हार से ज़्यादा अहम है उसके बयान करने में हरगिज़ दरेग़ न करे आज कल के बाज़ सूफ़ी अपना तक़द्दुस यूँ ज़ाहिर करते हैं कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए यह शैतानी धोका है मख़्लूक़े खुदा को गुमराहों से बचाना यह कोई मअ्मूली बात नहीं बल्कि यह अम्बियाए किराम अ़लैहिमुस्सलाम की सुन्नत है जिसको नाकारा तावीलात से छोड़ना चाहता है और उसका मक़सूद यह होता है कि मैं हर दिल अज़ीज़ बनूं क्यों किसी को अपना मुख़ालिफ़ करूँ।

मसअला.3:– यह मअ्लूम है कि जिसमें बुराई पाई जाती है अगर उसके वालिद को ख़बर होजायेगी तो वह इस हरकत से रोक देगा तो उसके बाप को ख़बर करदे ज़बानी कह सकता हो तो ज़बानी कहे या तहरीर के ज़रीआ़ मुत्तलअ् करदे और अगर मअ्लूम है कि अपने बाप का कहा भी नहीं मानेगा और बाज़ नहीं आयेगा तो न कहे कि बिला वजह अदावत पैदा होगी इस तरह बीवी की शिकायत उसके शौहर से की जा सकती है और रिआ़या की बादशाह से की जा सकती है (दुर्रेमुख़्तार रद्दुलमुहतार) मगर यह ज़रूर है कि ज़ाहिर करने से उसकी बुराई करना मक़सूद न हो बल्कि असली मक़सद यह हो कि वह लोग इस बुराई का इन्सिदाद(रोक थाम)करें और उसकी यह आदत छूट जाये।

मसअला.4:– किसी ने अपने मुसलमान भाई की बुराई अफ़सोस के तौर पर की कि मुझे निहायत अफ़सोस है कि वह ऐसे काम करता है यह ग़ीबत नहीं क्योंकि जिसकी बुराई की अगर उसे ख़बर भी होगई तो इस सूरत में वह बुरा न मानेगा बुरा उस वक़्त मानेगा जब उसे मअ्लूम हो कि उस कहने वाले का मक़सूद ही बुराई करना है मगर यह ज़रूर हैं कि उस चीज़ का इज़हार उसने हसरत व अफ़सोस ही की वजह से किया हो वरना ग़ीबत है बल्कि एक क़िस्म का निफ़ाक़ और

रिया और अपनी मदह सराई है क्योंकि उसने मुसलमान भाई की बुराई की और ज़ाहिर यह किया कि बुराई मक़सद नहीं यह निफ़ाक़ हुआ और लोगों पर यह ज़ाहिर किया कि यह काम मैं अपने लिये और दूसरों के लिये बुरा जानता हूँ यह रिया है और ग़ीबत को ग़ीबत के तौर पर नहीं किया लिहाज़ा अपने को नेकों में से होना बताया यह तज़किया़ए नफ़्स और खुद सताई हुई। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– किसी बस्ती, शहर वालों की बुराई की मस्लन यह कहा कि वहाँ के लोग ऐसे हैं यह ग़ीबत नहीं क्योंकि ऐसे कलाम का यह मक़सद नहीं होता कि वहाँ के सब ही लोग ऐसे हैं बल्कि बाज़ लोग मुराद होते हैं और जिन बाज़ को कहा गया वह मअ्लूम नहीं, ग़ीबत उस सूरत में होती है जब मोअय्यन व मअ्लूम अशख़ास की बुराई ज़िक्र की जाये और उसका मक़सद वहाँ के तमाम लोगों की बुराई करना है तो यह ग़ीबत है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.6:– फ़क़ीह अबुल्लैस ने फ़रमाया कि ग़ीबत चार क़िस्म की है **एक कुफ़्र** उसकी सूरत यह है कि एक शख़्स ग़ीबत कर रहा है उससे कहा गया कि ग़ीबत न करो कहने लगा यह ग़ीबत नहीं मैं सच्चा हूँ इस शख़्स ने एक हरामे क़तई को हलाल बताया **दूसरी सूरत निफ़ाक़** है कि एक शख़्स की बुराई करता है और उसका नाम नहीं लेता मगर जिसके सामने बुराई करता है वह उसको जानता, पहचानता है लिहाज़ा यह ग़ीबत करता है और अपने को परहेजगार ज़ाहिर करता है यह एक क़िस्म का निफ़ाक़ है **तीसरी सूरत मअ्सियत** है वह यह है कि ग़ीबत करता है और यह जानता है कि यह हराम काम है ऐसा शख़्स तौबा करे। **चौथी सूरत मुबाह** है वह यह कि फ़ासिके मोअ्लिन या बद मज़हब की बुराई बयान करे बल्कि लोगों को इसके शर से बचाना मक़सूद हो तो सवाब मिलने की उम्मीद है। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.7:– जो शख़्स एलानिया बुरा काम करता है और उसको उसकी कोई परवाह नहीं कि लोग उसे क्या कहेंगे उसकी उस बुरी हरकत का बयान करना ग़ीबत नहीं मगर उसकी दूसरी बातें जो ज़ाहिर नहीं हैं उनको ज़िक्र करना ग़ीबत में दाख़िल है हदीस में है कि जिसने हया का हिजाब अपने चेहरे से हटा दिया उसकी ग़ीबत नहीं। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.8:– जिससे किसी बात का मशवरा लिया गया वह अगर उस शख़्स का ऐब व बुराई ज़ाहिर करे जिसके मुतअ्ल्लिक़ मशवरा है यह ग़ीबत नहीं हदीस में है "जिससे मशवरा लिया जाये वह अमीन है" लिहाज़ा उसकी बुराई ज़ाहिर न करना ख़्यानत है मस्लन किसी के यहाँ अपना या अपनी औलाद वग़ैरा का निकाह करना चाहता है दूसरे से उसके मुतअ्ल्लिक़ तज़्किरा किया कि मेरा इरादा ऐसा है तुम्हारी क्या राय है उस शख़्स को जो कुछ मअ्लूमात हैं बयान करदेना ग़ीबत नहीं इसी तरह किसी के साथ तिजारत वग़ैरा में शिरकत करना चाहता है या उसके पास कोई चीज़ अमानत रखना चाहता है या किसी के पड़ोस में सुकूनत करना चाहता है और उसके मुतअ्ल्लिक़ दूसरे से मशवरा लेता है यह शख़्स उसकी बुराई बयान करे ग़ीबत नहीं। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.9:– जो बद'मज़हब अपनी बद'मज़हबी छुपाये हुए है जैसा कि रवाफ़िज़ के यहाँ तक़िया है या आज कल के बहुत से वहाबी भी अपनी वहाबियत छुपाते और खुद को सुन्नी ज़ाहिर करते हैं और जब मौक़ा पाते हैं तो बद'मज़हबी की आहिस्ता आहिस्ता तबलीग़ करते हैं उनकी बद'मज़हबी का इज़हार ग़ीबत नहीं कि लोगों को उनके मकर व शर (धोका व बुराई) से बचाना है और अगर अपनी बद'मज़हबी को छुपाता नहीं बल्कि एलानिया ज़ाहिर करता है जब भी ग़ीबत नहीं कि वह एलानिया बुराई करने वालों में दाख़िल हैं। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.10:– किसी के ज़ुल्म की शिकायत हाकिम के पास करना भी ग़ीबत नहीं मस्लन यह कि फ़ुलाँ शख़्स ने मुझपर यह ज़ुल्म व ज़्यादती की है ताकि हाकिम उसका इन्साफ़ व दाद रसी करे। इसी तरह मुफ़्ती के सामने इस्तिफ़ता पेश करने में किसी की बुराई की कि फ़ुलाँ शख़्स ने मेरे साथ यह किया है उससे बचने की क्या सूरत है मगर इस सूरत में बेहतर यह है कि नाम न ले बल्कि यूँ

कहे कि एक शख़्स ने एक शख़्स के साथ यह किया बल्कि ज़ैद व अम्र से तअ़बीर करे जैसाकि इस ज़माने में इस्तिफ़ता की उमूमन यही सूरत होती है फिर भी अगर नाम ले दिया जब भी जाइज़ है इसमें भी क़बाहत नहीं। जैसाकि ह़दीसे़ स़ह़ीह़ में आया कि हिन्द ने अबू सुफ़यान रदियल्लाहु तआला अन्हु के मुतअ़ल्लिक़ हुज़ूर की ख़िदमत में शिकायत की कि वह बख़ील हैं इतना नफ़्क़ा नहीं देते जो मुझे और मेरे बच्चों को काफ़ी हो मगर जबकि मैं उनकी लाइल्मी में कुछ लेलूँ इरशाद फ़रमाया कि "तुम इतना ले सकती हो जो मअ़रूफ़ के साथ तुम्हारे और बच्चों के लिये काफ़ी हो"। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.11:– एक सूरत इसके जवाज़ की यह है कि उससे मक़सद मबीअ़ का ऐब बयान करना हो मस्लन गुलाम को बेचना चाहता है और उस गुलाम में कोई ऐब है चोर या ज़ानी है उसका ऐब मुश्तरी के सामने बयान कर देना जाइज़ है। यूहीं किसी ने देखा कि मुश्तरी बाइअ़ को ख़राब रूपया देता है उससे इसकी ह़रकत को ज़ाहिर कर सकता है। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.12:– एक सूरत जवाज़ की यह भी है कि उस ऐब के ज़िक्र से मक़सूद उसकी बुराई नहीं है बल्कि उस शख़्स की मअ़रिफ़त व शनाख़्त मक़सूद है मस्लन जो शख़्स उन उ़यूब के साथ मुलक़्क़ब है तो मक़सूद मअ़रिफ़त है न बयाने ऐब जैसे अअ़मा, अअ़मश, अअ़रज, अह़वल, स़ह़ाबए किराम में अ़ब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मकतूम ना'बीना थे और रिवायतों में उनके नाम के साथ अअ़मा आता है मुह़द्दिसीन में बड़े ज़बर'दस्त पाया के सुलैमान अअ़मश हैं, अअ़मश के'मअ़ना चुन्धे के हैं यह लफ़्ज़ उनके नाम के साथ ज़िक्र किया जाता है इसी त़रह़ यहाँ भी बाज़ मरतबा मह़ज़ पहचानने के लिये किसी को अंधा या काना या ठिगना या लम्बा कहा जाता है यह ग़ीबत में दाख़िल नहीं(रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.13:– ह़दीस़ के रावियों और मुक़द्दमा के गवाहों और मुस़न्निफ़ीन पर जिरह़ करना और उनके उ़यूब बयान करना जाइज़ है अगर रावियों की ख़राबियाँ बयान न की जायें तो ह़दीसे़ स़ह़ीह़ और ग़ैर स़ह़ीह़ में इम्तियाज़ न होसकेगा। इस त़रह़ मुस़न्निफ़ीन के ह़ालात न बयान किये जायें तो कुतुबे मोअ़्तमदा, वग़ैर'मोअ़्तमदा (यानी किस किताब को भरोसे के लायक़ समझें और किस को भरोसे के लायक़ न समझें (अमीनुल क़ादरी)) में फ़र्क़ न रहेगा गवाहों पर जिरह़ न की जाये तो हुक़ूक़े मुस्लिमीन की निगह दाश्त न होसकेगी अव्वल से आख़िर तक ग्यारह सूरतें वह हैं जो ब'ज़ाहिर ग़ीबत हैं और ह़क़ीक़त में ग़ीबत नहीं और उनमें उ़यूब का बयान करना जाइज़ है बल्कि बाज़ सूरतों में वाजिब है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.14:– ग़ीबत जिस त़रह़ ज़बान से होती है फ़ेअ़्ल से भी होती है स़राह़त के साथ बुराई की जाये या तअ़रीज़ व किनाया के साथ हो सब सूरतें ह़राम हैं बुराई को जिस नोईयत से समझायेगा सब ग़ीबत में दाख़िल है। तअ़रीज़ की यह सूरत है कि किसी के ज़िक्र के वक़्त यह कहा कि अल्ह़म्दु लिल्लाह मैं ऐसा नहीं जिसका यह मत़लब हुआ कि वह ऐसा है किसी की बुराई लिखदी यह भी ग़ीबत है। सर वग़ैरा की ह़रकत भी ग़ीबत होसकती है मस्लन किसी की ख़ूबियों का तज़किरा था उसे सर के इशारे से यह बताना चाहा कि उसमें जो कुछ बुराईयाँ हैं उनसे तुम वाक़िफ़ नहीं। होंटों और आँखों और भवों और ज़बान या हाथ के इशारे से भी ग़ीबत होसकती है एक ह़दीस़ में है ह़ज़रत आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं एक औरत हमारे पास आई जब वह चली गई तो मैंने हाथ के इशारे से बताया कि वह ठिगनी है हुज़ूर अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फ़रमाया कि "तुमने उसकी ग़ीबत की" (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.15:– एक सूरत ग़ीबत की नक़्ल है मस्लन किसी लंगड़े की नक़्ल करे और लंगड़ाकर चले या जिस चाल से कोई चलता है उसकी नक़ल उतारी जाये यह भी ग़ीबत है बल्कि ज़बान से कह देने से यह ज़्यादा बुरा है क्योंकि नक़्ल करने में पूरी तस्वीर'कशी और बात को समझाना पाया जाता है कि कहने में वह बात नहीं होती। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– ग़ीबत की एक सूरत यह भी है कि यही कहा कि एक शख़्स हमारे पास इस क़िस्म का आया था या मैं एक शख़्स के पास गया जो ऐसा है और मुख़ात़ब को मअ़्लूम है कि फ़ुलाँ शख़्स का ज़िक्र करता है अगर्चे मुतकल्लिम ने किसी का नाम नहीं लिया मगर जब मुख़ात़ब को उन लफ़्ज़ों से

समझा दिया तो ग़ीबत होगई क्योंकि जब मुख़ातब को यह मालूम है कि इसके पास फुलाँ आया था या यह फुलाँ के पास गया था तो अब नाम लेना न लेना दोनों का एक हुक्म है। हाँ अगर मुख़ातब ने शख़्से मुअय्यन को नहीं समझा मसलन उसके पास बहुत से लोग आये या यह बहुतों के यहाँ गया था मुख़ातब को यह पता न चला कि यह किसके मुतअल्लिक़ कह रहा है तो ग़ीबत नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– जिस तरह ज़िन्दा आदमी की ग़ीबत होसकती है मरे हुए मुसलमान को बुराई के साथ याद करना भी ग़ीबत है जब कि वह सूरतें न हों जिनमें उयूब का बयान करना ग़ीबत में दाख़िल नहीं। मुस्लिम की ग़ीबत जिस तरह हराम है काफ़िर ज़िम्मी की भी ना'जाइज़ है कि उनके हुक़ूक़ भी मुस्लिम की तरह हैं। काफ़िर हर्बी की बुराई करना ग़ीबत नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.18:– किसी की बुराई उसके सामने करना अगर ग़ीबत में दाख़िल न भी हो जबकि ग़ीबत में पीठ पीछे बुराई करना मोअ्तबर हो मगर यह उससे बढ़कर हराम है क्योंकि ग़ीबत में जो वजह है वह यह कि ईज़ा–ए–मुस्लिम है वह यहाँ ब'दर्जाए औला पाई जाती है ग़ीबत में तो यह एहतिमाल है कि उसे इत्तिलाअ् मिले या न मिले अगर उसे इत्तिलाअ् न हुई तो ईज़ा भी न हुई मगर एहतिमाले ईज़ा को यहाँ ईज़ा क़रार देकर शरीअ़त ने हराम किया और मुँह पर उसकी मज़म्मत करना तो हक़ीक़तन ईज़ा है फिर यह क्यों हराम न हो। (रद्दुल'मुहतार) बाज़ लोगों से जब कहा जाता है कि तुम फुलाँ की ग़ीबत क्यों करते हो वह निहायत दिलैरी के साथ यह कहते हैं मुझे उसका डर पड़ा है चलो मैं उसके मुँह पर यह बातें कहदूँगा उनको यह मालूम होना चाहिए के पीठ पीछे उसकी बुराई करना ग़ीबत व हराम है और मुँह पर कहोगे तो यह दूसरा हराम होगा। अगर तुम उसके सामने कहने की जुर्अत रखते हो तो उसकी वजह से ग़ीबत हलाल नहीं होगी।

मसअ्ला.19:– ग़ीबत के तौर पर जो उयूब बयान किये जायें वह कई क़िस्म के हैं उसके **बदन में उयूब** हों मसलन अंधा, काना, लंगड़ा, लूला, होंट'कटा, नक'चपटा वग़ैरा **नसब के एअ्तिबार से** वह ऐब समझा जाता हो मसलन उसके नसब में यह ख़राबी है उसकी दादी, नानी, चमारी थी हिन्दुस्तान वालों ने पेशा को भी नसब ही का हुक्म दे रखा है लिहाज़ा बतौर ऐब किसी को धुना, जुलाहा कहना भी ग़ीबत व हराम है अख़लाक़ व अफ़आल की बुराई या उसकी बात चीत में ख़राबी मसलन हकलाया तुतलाया दीनदारी में वह ठीक न हो यह सब सूरतें ग़ीबत में दाख़िल हैं यहाँ तक कि उस के कपड़े अच्छे न हों या मकान अच्छा न हो उन चीज़ों को भी इस तरह ज़िक्र करना जो उसे बुरा मालूम हो ना'जाइज़ है। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.20:– जिसके सामने किसी की ग़ीबत की जाये उसे लाज़िम है कि ज़बान से इन्कार करदे मसलन कहदे कि मेरे सामने उसकी बुराई न करो। अगर ज़बान से इन्कार करने में उसको ख़ौफ़ व अन्देशा है तो दिल से उसे बुरा जाने और अगर मुम्किन हो तो यह शख़्स जिसके सामने बुराई की जारही है वहाँ से उठ जाये या उस बात को काटकर कोई दूसरी शुरूअ् करदे ऐसा न करने में सुनने वाला भी गुनहगार होगा। ग़ीबत का सुनने वाला भी ग़ीबत करने वाले के हुक्म में है। हदीस़ में है "जिसने अपने मुस्लिम भाई की आबरू ग़ीबत से बचाई अल्लाह तआ़ला के ज़िम्मए करम पर यह है कि वह उसे जहन्नम से आज़ाद करदे"। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.21:– जिसकी ग़ीबत की अगर उसको इसकी ख़बर होगई तो उससे मुआफ़ी मांगनी ज़रूरी है और यह भी ज़रूरी है कि उसके सामने यह कहे मैंने तुम्हारी इस इस तरह ग़ीबत या बुराई की तुम मुआफ़ करदो उससे मुआफ़ कराये और तौबा करे तब इससे बरीयुज़्ज़िम्मा होगा और अगर उसको ख़बर न हुई हो तो तौबा और नदामत काफ़ी है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.22:– जिसकी ग़ीबत की है उसे ख़बर न हुई और उसने तौबा करली उसके बाद उसे ख़बर मिली कि फुलाँ ने मेरी ग़ीबत की है आया उसकी तौबा सहीह है या नहीं उसमें उलमा के दो क़ौल हैं एक क़ौल यह है कि वह तौबा सहीह है अल्लाह तआ़ला दोनों की मग़्फ़िरत फ़रमादेगा जिसने ग़ीबत की उसकी मग़्फ़िरत तौबा से हुई और जिसकी ग़ीबत की गई उसको जो तकलीफ़ पहुँची और उसने दरगुज़र किया इस वजह से उसकी मग़्फ़िरत होजायेगी।

और बाज़ उलमा यह फ़रमाते हैं कि उसकी तौबा मुअ़ल्लक़ रहेगी अगर वह शख़्स जिसकी

ग़ीबत हुई ख़बर पहुँचने से पहले ही मरगया तो तौबा सहीह है और तौबा के बाद उसे ख़बर पहुँच गई तो सहीह नहीं जब तक उससे मुआफ़ न कराये। बोहतान की सूरत में तौबा करना और मुआफ़ी मांगना ज़रूरी है बल्कि जिसके सामने बोहतान बांधा है उनके पास जाकर यह कहना ज़रूरी है कि मैंने झूट कहा था जो फुलाँ पर मैंने बोहतान बाँधा था। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.23:– मुआफ़ी मांगने में यह ज़रूर है कि ग़ीबत के मुक़ाबिल में उसकी सना–ए–हसन (अच्छी तारीफ़) करे और उसके साथ इज़हारे महब्बत करे कि उसके दिल से यह बात जाती रहे और फ़र्ज़ करो उसने ज़बान से मुआफ़ कर दिया मगर उसका दिल इससे खुश न हुआ तो उसका मुआफ़ी मांगना और इज़हारे महब्बत करना ग़ीबत की बुराई के मुक़ाबिल होजायेगा और आख़िरत में मुवाख़िज़ा न होगा। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.24:– इसने मुआफ़ी मांगी और उसने मुआफ़ करदिया मगर इसने सच्चाई और ख़ुलूस दिल से मुआफ़ी नहीं मांगी थी महज़ ज़ाहिरी और नुमाइशी यह मुआफ़ी थी तो होसकता है कि आख़िरत में मुवाख़ज़ा हो क्योंकि उसने यह समझकर मुआफ़ किया था कि यह ख़ुलूस के साथ मुआफ़ी मांग रहा है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.25:– इमाम ग़ज़ाली अलैहिर्रहमा फ़रमाते हैं कि जिसकी ग़ीबत की वह मरगया या कहीं ग़ाइब होगया उस्से क्योंकर मुआफ़ी मांगे यह मुआमला बहुत दुशवार होगया उसको चाहिए कि नेक काम की कस्रत करे ताकि अगर उसकी नेकियाँ ग़ीबत के बदले में उसे देदी जायें जब भी उसके पास नेकियाँ बाक़ी रह जायें। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.26:– अगर उसकी ऐसी बुराईयाँ बयान की हैं जिनको वह छुपाता था यानी यह नहीं चाहता था कि लोग उनपर मुत्तलअ् हों तो मुआफ़ी मांगने में उन उ़यूब की तफ़सील न करे बल्कि मुब्हम तौर पर (पोशीदा तौर पर) यह कहदे कि मैंने तुम्हारे उ़यूब लोगों के सामने ज़िक्र किये हैं तो मुआफ़ करदो और अगर ऐसे उ़यूब न हों तो तफ़सील के साथ बयान करे। इसी तरह अगर वह बातें ऐसी हों जिनके ज़ाहिर करने में फ़ितना पैदा होने का अन्देशा है तो ज़ाहिर न करे बाज़ उ़लमा का यह क़ौल है कि हुक़ूक़े मजहूला (ऐसे हुक़ूक़ जो जानते न हों) को मुआफ़ कर देना भी सहीह है और इस तरह भी मुआफ़ी होसकती है लिहाज़ा इस क़ौल पर बिना की जाये और ऐसी ख़ास सूरतों में तफ़सील न की जाये। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.27:– दो शख़्सों में झगड़ा था दोनों ने मअ्ज़िरत के साथ मुसाफ़ा किया यह भी मुआफ़ी का एक तरीक़ा है जिसकी ग़ीबत की है वह मरगया तो वुरसा को यह हक़ नहीं कि मुआफ़ करें उनके मुआफ़ करने का एअ्तिबार नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.28:– किसी के मुँह पर उसकी तअ्रीफ़ करना मनअ् है और पीठ पीछे तअ्रीफ़ की मगर यह जानता है कि मेरे इस तअ्रीफ़ करने की ख़बर पहुँच जायेगी यह भी मनअ् है तीसरी सूरत यह है कि पसे पुश्त (पीठ पीछे) तअ्रीफ़ करता है उसका ख़याल भी नहीं करता कि उसे ख़बर पहुँच जायेगी या न पहुँचेगी यह जाइज़ है, मगर यह ज़रूर है कि तअ्रीफ़ में जो बयान करे वह उसमें हों शोअ्रा की तरह अनहुई बातों के साथ तअ्रीफ़ न करे कि यह निहायत दर्जा क़बीह(बुरा)है (आलमगीरी)

बुग्ज़ व हसद का बयान

क़ुर्आन मजीद में इरशाद हुआ:–

﴿وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۔ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ۔ وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۔ وَاسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ۔ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا﴾

"और उसकी आरज़ू मत करो जिससे अल्लाह ने तुम में एक को दूसरे पर बड़ाई दी मर्दों के लिये उनकी कमाई से हिस्सा है और औरतों के लिये उनकी कमाई से हिस्सा और अल्लाह से उसका फ़ज़्ल मांगो बेशक अल्लाह हर चीज़ को जानता है"

और फ़रमाता है

وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ "तुम कहो मैं पनाह मांगता हूँ हासिद के शर से जब वह हसद करता है"।

हदीस् (1) इब्ने माजा ने अनस रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "हसद नेकियों को इस तरह खाता है जिस तरह आग लकड़ी

को खाती है और सदका ख़ता को बुझाता है जिस तरह पानी आग को बुझाता है" इसी की मिस्ल अबूदाऊद ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की।

हदीस (2) दैलमी ने मुस्नदुल'फ़िरदौस में मुआविया इब्ने उबैदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "हसद ईमान को ऐसा बिगाड़ता है जिस तरह एलुवा शहद को बिगाड़ता है"।

हदीस (3) इमाम अहमद व तिर्मिज़ी ने ज़ुबैर इब्ने अवाम रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अगली उम्मत की बीमारी तुम्हारी तरफ़ भी आई वह बीमारी हसद व बुग्ज़ है वह मूंडने वाला है दीन को मूंडता है बालों को नहीं मूंडता, क़सम है उसकी जिसके हाथ में मुहम्मद (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) की जान है जन्नत में नहीं जाओगे। जब तक ईमान न लाओ और मोमिन नहीं होगे जब तक आपस में महब्बत न करो, तुम्हें ऐसी चीज़ न बतादूँ कि जब उसे करोगे आपस में महब्बत करने लगोगे, आपस में सलाम को फैलाओ"।

हदीस (4) तिबरानी ने अब्दुल्लाह इब्ने बुस्र रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "हसद और चुग़ली और कहानत न मुझ से हैं और न मैं उनसे हूँ" यानी मुसलमान को उन चीज़ों से बिल्कुल तअल्लुक़ न होना चाहिए।

हदीस (5) सहीह बुख़ारी में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "आपस में न हसद करो न बुग्ज़ करो न पीठ पीछे बराई करो और अल्लाह के बन्दे भाई भाई होकर रहो"।

हदीस (6) सहीह बुख़ारी में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना कि "हसद नहीं है मगर दो पर एक वह शख़्स जिसे ख़ुदा ने किताब दी यानी क़ुर्आन का इल्म अता फ़रमाया वह उसके साथ रात में क़ियाम करता है और दूसरा वह कि ख़ुदा ने उसे माल दिया वह दिन और रात के औक़ात में सदक़ा करता है"।

हदीस (7) सहीह बुख़ारी में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "हसद है मगर दो शख़्सों पर एक वह शख़्स जिसे ख़ुदा ने क़ुर्आन सिखाया वह रात और दिन के औक़ाफ़ में उसकी तिलावत करता है उसके पड़ोसी ने सुना तो कहने लगा काश मुझे भी वैसा ही दिया जाता जो फ़ुलाँ शख़्स को दिया गया तो मैं भी उसकी तरह अमल करता दूसरा वह शख़्स कि ख़ुदा ने उसे माल दिया वह हक़ में माल को ख़र्च करता है किसी ने कहा काश मुझे भी वैसा ही दिया जाता जैसा फ़ुलाँ शख़्स को दिया गया तो मैं भी उसी की तरह अमल करता" इन दोनों हदीसों में हसद से मुराद ग़िब्ता है जिसको लोग रश्क कहते हैं जिसके यह मअ़्ना हैं कि दूसरे को जो नेअ़्मत मिली वैसी मुझे भी मिल जाये और यह आरज़ू न हो कि उसे न मिलती या उससे जाती रहे और हसद में यह आरज़ू होती है उसी वजह से हसद मज़मूम है और ग़िब्ता बुरा नहीं। इमाम बुख़ारी के तर्जमतुल'बाब से भी यही मालूम होता है कि उन हदीसों में ग़िब्ता मुराद है लिहाज़ा उन हदीसों के यह मअ़्ना हुए कि यही दो चीज़ें ग़िब्ता करने की हैं कि यह दोनों ख़ुदा की बहुत बड़ी नेअ़्मतें हैं ग़िब्ता इनपर करना चाहिए न कि दूसरी नेअ़्मतों पर। वल्लाहु तआला अअ़्लमु बिस्सवाब

हदीस (8) बैहक़ी ने हज़रत आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अल्लाह तआला शअ़्बान की पन्द्रहवीं शब में अपने बन्दों पर ख़ास तजल्ली फ़रमाता है जो इस्तिग़फ़ार करते हैं उनकी मग़फ़िरत करता है और जो रहम की दरख़्वास्त करते हैं उनपर रहम करता है और अदावत वालों को उनकी हालत पर छोड़ देता है"।

हदीस (9) इमाम अहमद ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया 'हर हफ़्ते में दो बार दो'शम्बा और पंज'शम्बा को

लोगों के अअ्माल नामे पेश होते हैं हर बन्दे की मग़्फ़िरत होती है मगर वह शख़्स कि उसके और उसके भाई के दरम्यान अ़दावत हो उनके मुतअ़ल्लिक़ यह फ़रमाता है उन्हें छोड़दो उस वक़्त तक कि बाज़ आजायें"।

ह़दीस् (10) तिब्रानी ने उसामा बिन ज़ैद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "दोशम्बा और पंजशम्बा को अल्लाह तआ़ला के हुज़ूर लोगों के अअ्माल पेश होते हैं सबकी मग़्फ़िरत फ़रमादेता है मगर जो दो शख़्स बाहम अ़दावत रखते हैं और वह शख़्स जो क़तअ् रहम करता है"।

ह़दीस् (11) इमाम अह़मद व अबूदाऊद व तिर्मिज़ी अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "दोशम्बा और पंजशम्बा के दिन जन्नत के दरवाज़े खोले जाते हैं जिस बन्दे ने शर्र नहीं किया है उसकी मग़्फ़िरत की जाती है। मगर जो शख़्स ऐसा है कि उसके और उसके भाई के दरम्यान अ़दावत है उनके मुतअ़ल्लिक़ कहा जाता है उन्हें मोहलत दो यहाँ तक कि यह दोनों सुलह़ करलें"।

मसाइले फ़िक़्हिया

ह़सद ह़राम है अह़ादीस् में उसकी बहुत मज़म्मत वारिद हुई ह़सद के यह मअ्ना हैं कि किसी शख़्स में ख़ूबी देखी उसको अच्छी ह़ालत में पाया इसके दिल में यह आरज़ू है कि यह नेअ्मत उससे जाती रहे और मुझे मिलजाये और अगर यह तमन्ना है कि मैं भी वैसा होजाऊँ मुझे भी वह नेअ्मत मिलजाये यह ह़सद नहीं इसको ग़िब्ता कहते हैं जिसको लोग रश्क से तअ्बीर करते हैं।

मसअ्ला.1:– यह आरज़ू कि जो नेअ्मत फुलाँ के पास है वह बिऐनिही मुझे मिलजाये यह ह़सद है क्योंकि बिऐनिही वही चीज़ उसको जब मिलेगी कि उससे जाती रहे और अगर यह आरज़ू है कि उसकी मिस्ल मुझे मिले यह ग़िब्ता है क्योंकि उससे ज़ाइल होने की आरज़ू नहीं पाई गई। (आलमगीरी)

ह़दीस् में फ़रमाया है कि "ह़सद नहीं है मगर दो चीज़ों में एक वह शख़्स जिसको ख़ुदा ने माल दिया है और वह राहे ह़क़ में स़र्फ़ करता है दूसरा वह शख़्स जिसको ख़ुदा ने इल्म दिया है वह लोगों को सिखाता है और इल्म के मुवाफ़िक़ फ़ैसला करता है" इस ह़दीस् से ब'ज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि उन दो चीज़ों में ह़सद जाइज़ है मगर बिग़ौर देखने से यह मालूम होता है कि यहाँ भी ह़सद ह़राम है बाज़ उ़लमा ने यह बताया कि उस ह़दीस में ह़सद ब'मअ्ना ग़िब्ता है। इमाम बुख़ारी अ़लैहिर्रह़मा के तर्जमतुल'बाब से भी यही पता चलता है और बाज़ ने कहा कि ह़दीस् का यह मतलब है कि अगर ह़सद जाइज़ होता तो उनमें जाइज़ होता मगर उनमें भी ना'जाइज़ है जैसाकि ह़दीस् ला शुअ्मा इल्ला फ़िद्दार لاشؤم الا فی الدار (अलहदीस) में इसी क़िस्म की तावील की जाती है और बाज़ उ़लमा ने फ़रमाया कि मअ्ना ह़दीस् का यह है कि ह़सद उन्हीं दोनों में होसकता है और चीज़ें तो इस क़ाबिल ही नहीं कि उनमें ह़सद पाया जासके कि ह़सद के मअ्ना यह हैं कि दूसरे में कोई नेअ्मत देखे और यह आरज़ू करे कि वह मुझे मिलजाये और दुनिया की चीज़ें नेअ्मत नहीं कि जिनकी तह़सील की फ़िक्र हो दुनिया की चीज़ों का मआल अल्लाह तआ़ला की नाराज़ी है और यह चीज़ें वह हैं कि उनका मआल अल्लाह तआ़ला की ख़ुशनूदी व रज़ा है लिहाज़ा नेअ्मत जिसका नाम है वह यही हैं उनमें ह़सद होसकता है। (आलमगीरी वग़ैरा)

ज़ुल्म की मज़म्मत

क़ुर्आन मजीद में बहुत से मवाक़ेअ् पर इसकी बुराई ज़िक्र की गई और अह़ादीस् उसके मुतअ़ल्लिक़ बहुत हैं बाज़ ज़िक्र की जाती हैं।

ह़दीस् (1) ज़ुल्म क़ियामत के दिन तारीकियाँ हैं यानी ज़ुल्म करने वाला क़ियामत के दिन सख़्त मुसीबतों और तारीकियों में घिरा हुआ होगा। (बुख़ारी, मुस्लिम)

ह़दीस् (2) अल्लाह तआ़ला ज़ालिम को ढील देता है मगर जब पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं

उसके बाद यह आयत तिलावत की

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ "ऐसी ही तेरे रब की पकड़ है जब वह ज़ुल्म करने वाली बस्तियों को पकड़ता है"।

हदीस् (3) जिसके ज़िम्मे उसके भाई का कोई हक़ हो वह आज उससे मुआफ़ कराले इससे पहले कि न अशर्फ़ी होगी, न रूपये बल्कि उसके अमले सालेह (नेक अमल) को बक़द्रे हक़ लेकर दूसरे को देदिये जायेंगे और अगर उसके पास नेकियाँ नहीं होंगी तो दूसरे के गुनाह उसपर लाद दिये जायेंगे। (बुख़ारी)

हदीस् (4) तुम्हें मालूम है मुफ़्लिस कौन है लोगों ने अर्ज़ की हम में मुफ़्लिस वह है कि न उसके पास रुपये हैं न मताअ् (सामान) फ़रमाया "मेरी उम्मत में मुफ़्लिस वह है कि क़ियामत के दिन नमाज़, रोज़ा, ज़कात लेकर आयेगा और इस तरह आयेगा कि किसी को गाली दी है किसी पर तोहमत लगाई है, किसी का माल खालिया है, किसी का ख़ून बहाया है, किसी को मारा है, लिहाज़ा इसकी नेकियाँ उसको देदी जायेंगी। अगर लोगों के हुक़ूक़ पूरे होने से पहले नेकियाँ ख़त्म होगईं तो उन की ख़तायें इसपर डालदी जायेंगी फिर उसे जहन्नम में डालदिया जायेगा"। (मुस्लिम शरीफ़)

हदीस् (5) इम्अ़ा न बनो कि यह कहने लगो कि लोग अगर हमारे साथ एहसान करेंगे तो हम भी एहसान करेंगे और अगर हमपर ज़ुल्म करेंगे तो हम भी उनपर ज़ुल्म करेंगे बल्कि अपने नफ़्स को इस पर जमाओ कि लोग एहसान करें तो तुम भी एहसान करो और अगर बुराई करें तो तुम ज़ुल्म न करो(तिर्मिज़ी)

हदीस् (6) जो शख़्स अल्लाह की ख़ुश्नूदी का तालिब हो लोगों की नाराज़ी के साथ यानी अल्लाह राज़ी हो चाहे लोग नाराज़ हों हुआ करें इसकी कोई परवा न करे अल्लाह तआला लोगों के शर से उसकी किफ़ायत करेगा और जो शख़्स लोगों को ख़ुश रखना चाहे अल्लाह की नाराज़ी के साथ अल्लाह तआला उसको आदमियों के सिपुर्द करदेगा। (तिर्मिज़ी)

हदीस् (7) सबसे बुरा क़ियामत के दिन वह बन्दा है जिसने दूसरे की दुनिया के बदले में अपनी आख़िरत बर्बाद करदी। (इब्ने माजा)

हदीस् (8) मज़्लूम की बद्दुआ से बच कि वह अल्लाह तआला से अपना हक़ मांगेगा और किसी हक़ वाले के हक़ से अल्लाह मनअ् नहीं करेगा। (बैहक़ी)

ग़ुस्सा और तकब्बुर का बयान

हदीस् (1) एक शख़्स ने अर्ज़ की मुझे वसियत कीजिये फ़रमाया "ग़ुस्सा न करो" उसने बार बार वही सवाल किया जवाब यही मिला कि 'ग़ुस्सा न करो'। (बुख़ारी)

हदीस् (2) क़वी (ताक़तवर) वह नहीं जो पहलवान हो दूसरे को पछाड़ दे बल्कि क़वी वह है जो ग़ुस्सा के वक़्त अपने को क़ाबू में रखे। (बुख़ारी, मुस्लिम)

हदीस् (3) अल्लाह तआला की ख़ुश्नूदी के लिये बन्दे ने ग़ुस्से का घूँट पिया इससे बढ़कर अल्लाह के नज़्दीक कोई घूँट नहीं। (अहमद)

हदीस् (4) क़ुर्आन मजीद की आयत है

﴿اِدْفَعْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِیْ بَیْنَكَ وَ بَیْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِیٌّ حَمِیْمٌ﴾

"उसके साथ दफ़अ् कर जो अहसन (ज़्यादा अच्छा) है फिर वह शख़्स कि तुझमें और उसमें अदावत है ऐसा होजायेगा गोया ख़ालिस दोस्त है"। इसकी तफ़्सीर में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा फ़रमाते हैं कि ग़ुस्से के वक़्त सब्र करे और दूसरा उसके साथ बुराई करे तो यह मुआफ़ करदे जब ऐसा करेंगे अल्लाह उनको महफ़ूज़ रखेगा और उनका दुश्मन झुक जायेगा गोया वह ख़ालिस दोस्त क़रीब है। (बुख़ारी)

हदीस् (5) ग़ुस्सा ईमान को ऐसा ख़राब करता है जिसतरह एलुवा शहद को ख़राब कर देता है(बैहक़ी)

हदीस् (6) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की ऐ रब कौन बन्दा तेरे नज़्दीक इज़्ज़त वाला है फ़रमाया वह जो बावजूदे क़ुदरत मुआफ़ करदे। (बैहक़ी)

हदीस् (7) जो शख़्स अपनी ज़बान को महफ़ूज़ रखेगा अल्लाह उसकी पर्दापोशी फ़रमायेगा और जो अपने ग़ुस्से को रोकेगा क़ियामत के दिन अल्लाह तआला अपना अज़ाब उससे रोक देगा और

जो अल्ला से उज़्र करेगा अल्लाह उसके उज़्र को क़बूल फ़रमायेगा। (बैहक़ी)

हदीस् (8) गुस्सा शैतान की तरफ़ से है और शैतान आग से पैदा होता है और आग पानी ही से बुझाई जाती है लिहाज़ा जब किसी को गुस्सा आजाये तो वज़ू करे। (अबूदाऊद)

हदीस् (9) जब किसी को गुस्सा आये और वह खड़ा हो तो वह बैठजाये अगर गुस्सा चला जाये फ़बिहा वरना लेट जाये। (अहमद तिर्मिज़ी)

हदीस् (10) बाज़ लोगों को गुस्सा जल्दी आजाता है और जल्द जाता रहता है एक के बदले में दूसरा है बाज़ को देर में आता है और देर में जाता है यहाँ भी एक के बदले में दूसरा है यानी एक बात अच्छी है और एक बुरी अदला बदला होगया और तुम में बेहतर वह है कि देर में उन्हें गुस्सा आये और जल्द चला जाये और बद'तर वह है जिन्हें जल्द आये और देर में जाये गुस्से से बचो कि वह आदमी के दिल पर एक अंगारा है देखते नहीं हो कि गले की रगें फूल जाती हैं और आँखें सुर्ख़ होजाती हैं जो शख़्स गुस्सा महसूस करे लेट जाये और ज़मीन से चिपट जाये।

हदीस् (11) मैं तुमको जन्नत वालों की ख़बर न दूँ, वह ज़ईफ़ हैं जिनको लोग ज़ईफ़ व हक़ीर जानते हैं (मगर है यह कि) अगर अल्लाह पर क़सम खा बैठें तो अल्लाह उसको सच्चा करदे और क्या जहन्नम वालों की ख़बर न दूँ वह सख़्त गो, सख़्त ख़ू, तकब्बुर करने वाले हैं। (बुख़ारी, मुस्लिम)

हदीस् (12) जिस किसी के दिल में राई बराबर ईमान होगा वह जहन्नम में नहीं जायेगा और जिस किसी के दिल में राई बराबर तकब्बुर होगा वह जन्नत में नहीं जायेगा। (मुस्लिम) दोनों जुम्लों की वही तावील है जो उस मक़ाम में मशहूर है।

हदीस् (13) तीन शख़्स हैं जिनसे क़ियामत के दिन न तो अल्लाह तआ़ला कलाम करेगा न उनको पाक करेगा न उनकी तरफ़ नज़र फ़रमायेगा और उनके लिये दर्द'नाक अ़ज़ाब है 1बूढ़ा ज़िनाकार 2बादशाह कज़्ज़ाब (झूटा बादशाह) और 3मोहताज मुतकब्बिर। (तकब्बुर करने वाला मोहताज) (मुस्लिम)

हदीस् (14) अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है कि "किब्रिया और अ़ज़मत मेरी सिफ़तें हैं जो शख़्स उनमें से किसी एकमें मुझसे मुनाज़अ़त (झगड़ा) करेगा उसे जहन्नम में डाल दूँगा। (मुस्लिम)

हदीस् (15) आदमी अपने को (अपने मरतबा से ऊँचे मरतबा की तरफ़) लेजाता रहता है यहाँ तक कि जब्बारीन में लिख दिया जाता है फिर जो उन्हें पहुँचेगा उसे भी पहुँचेगा। (तिर्मिज़ी)

हदीस् (16) मुतकब्बेरीन का हश्र क़ियामत के दिन चींटियों की बराबर जिस्मों में होगा और उनकी सूरतें आदमियों की होंगी हर तरफ़ से उनपर ज़िल्लत छाये हुए होगी, उनको खींचकर जहन्नम के क़ैद ख़ाने की तरफ़ लेजायेंगे जिसका नाम बूलिस है उनके ऊपर आगों की आग होगी जहन्नमियों का निचोड़ उन्हें पिलाया जायेगा जिसको 'ती़नतुलख़बाल' कहते हैं। (तिर्मिज़ी)

हदीस् (17) जो अल्लाह के लिये तवाज़ोअ़ करता है अल्लाह उसको बलन्द करता है वह अपने नफ़्स में छोटा मगर लोगों की नज़रों में बड़ा है। और जो बड़ाई करता है अल्लाह उसको पस्त करता है वह लोगों की नज़र में ज़लील है और अपने नफ़्स में बड़ा है वह लोगों के नज़्दीक कुत्ता या सुअर से भी ज़्यादा हक़ीर है। (बैहक़ी)

हदीस् (18) तीन चीज़ें निजात देने वाली हैं और तीन हलाक करने वाली हैं निजात वाली चीज़ें यह हैं 1पोशीदा और ज़ाहिर में अल्लाह से तक़वा, 2ख़ुशी व ना ख़ुशी में हक़ बात बोलना, 3मालदारी और एहतियाज की हालत में दरमियानी चाल चलना हलाक करने वाली यह हैं 1ख़्वाहिशे नफ़्सानी की पैरवी करना और 2बुख़्ल की इताअ़त और 3अपने नफ़्स के साथ घमन्ड करना यह सब में सख़्त है (बैहक़ी)

हिज्र और क़तअ़ तअ़ल्लुक़ की मुमानअ़त

"जुदाई और तअ़ल्लुक़ ख़त्म करने के इन्कार का हुक्म"

हदीस् (1) सहीह मुस्लिम व बुख़ारी में अबू अय्यूब अन्सारी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "आदमी के लिये यह हलाल नहीं कि अपने

भाई को तीन दिन से ज़्यादा छोड़ रखे कि दोनों मिलते हैं एक उधर मुँह फेर लेता है और दूसरा उधर मुँह फेर लेता है और इन दोनों में बेहतर वह है जो इब्तिदाअन सलाम करे'' ।(पहले सलाम करे)

ह़दीस़ (2) अबूदाऊद ने ह़ज़रत आइशा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ''मुस्लिम के लिये यह नहीं है कि दूसरे मुस्लिम को तीन दिन से ज़्यादा छोड़ रखे जब उससे मुलाक़ात हो तो तीन मरतबा सलाम करले अगर उसने जवाब नहीं दिया तो उसका गुनाह भी उसके ज़िम्मे है'' ।

ह़दीस़ (3) अबूदाऊद ने अबूहुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया मोमिन के लिये यह ह़लाल नहीं कि मोमिन को तीन दिन से ज़्यादा छोड़दे अगर तीन दिन गुज़र गये मुलाक़ात करे और सलाम करे और अगर दूसरे ने सलाम का जवाब देदिया तो अज्र में दोनों शरीक होगये और अगर जवाब नहीं दिया तो गुनाह उसके ज़िम्मे है और यह शख़्स़ छोड़ने के गुनाह से निकल गया।

ह़दीस़ (4) अबूदाऊद ने अबू ख़राश सुलमी रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि उन्होंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना कि ''जो शख़्स़ अपने भाई को साल भर छोड़दे तो यह उसके क़त्ल की मिस़्ल है'' ।

ह़दीस़ (5) इमाम अहमद व अबूदाऊद ने अबूहुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''मुस्लिम के लिये ह़लाल नहीं कि अपने भाई को तीन दिन से ज़्यादा छोड़दे फिर जिसने ऐसा किया और मरगया तो जहन्नम में गया'' ।

सुलूक करने का बयान

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है

﴿وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ﴾

''और जब हमने बनी इसराईल से अ़हद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी को न पूजना और माँ, बाप और रिश्ते वालों और यतीमों और मिस्कीनों के साथ भलाई करना और नमाज़ क़ाइम करो'' और ज़कात दो'' ।

और फ़रमाता है।

﴿قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ﴾

''तुम फ़रमाओ जो कुछ नेकी में ख़र्च करो तो वह माँ, बाप और क़रीब के रिश्ते वालों और यतीमों और मिस्कीनों और राहगीर के लिये हो और जो कुछ भलाई करोगे बेशक अल्लाह उसको जानता है'' ।

और फ़रमाता है।

﴿وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّ لَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا وَّاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ؕ﴾

''और तुम्हारे रब ने हुक्म फ़रमाया कि उसके सिवा किसी को न पूजो और माँ, बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, अगर तेरे सामने उनमें एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जायें तो उनसे उफ़ न कहना और उन्हें न झिड़कना और उनसे इ़ज़्ज़त की बात कहना और उनके लिये आ़जिज़ी का बाज़ू बिछादे नर्म दिली से और यह कह कि ऐ मेरे परवरदिगार उन दोनों पर रहम कर जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझे पाला'' ।

और फ़रमाता है।

﴿وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ؕ وَ اِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾

''और हमने इन्सान को माँ, बाप के साथ भलाई करने की वस़ियत की और अगर वह तुझसे कोशिश करें कि मेरा शरीक ठहरा ऐसे को जिसका तुझे इल्म नहीं तो उनका कहना न मान''

और फ़रमाता है।

﴿وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّ فِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ؕ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ ۚ وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا﴾

''और हमने इन्सान को उसके माँ बाप के बारे में ताकीद फ़रमाई उसकी माँ ने उसे पेट में रखा कमज़ोरी पर कमज़ोरी झेलती हुई और उसका दूध छुटना दो बरस में है यह कि शुक्र कर मेरा और अपने माँ बाप का मेरी ही तरफ़ तुझे आना

है और अगर वह दोनों तुझ से कोशिश करें कि मेरा शरीक ठहरा ऐसे को जिसका तुझे इल्म नहीं तो उनका कहना न मान और दुनिया में भलाई के साथ उनका साथ दे"।

और फ़रमाता है।

﴿وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا ط حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّ وَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾

"और हमने आदमी को माँ बाप के साथ भलाई करने का हुक्म दिया उसकी माँ ने तकलीफ के साथ उसे पेट में रखा और तकलीफ के साथ उस को जना"।

और फ़रमाता है।

﴿اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ﴾

"नसीहत वही मानते हैं जिन्हें अ़क्ल है वह जो अल्लाह का अहद पूरा करते हैं और बात पुख़्ता करके नहीं तोड़ते और जिसके जोड़ने का ख़ुदा ने हुक्म दिया है उसे जोड़ते हैं और ख़ुदा से डरते हैं और हिसाब की बुराई से डरते रहते हैं"

और फ़रमाता है।

﴿وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَ يَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَ يُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ﴾

"और जो लोग अल्लाह के अ़हद को मज़बूती के बाद तोड़ते हैं अल्लाह ने जिसके जोड़ने का हुक्म दिया है, उसे काटते हैं और ज़मीन में फ़साद करते हैं उनके लिये लअ़नत है और उनके लिये बुरा घर है"।

और फ़रमाता है।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ "और अल्लाह से डरो जिससे तुम सुवाल करते हो और रिश्ते से"।

हदीस (1) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि एक शख़्स ने अ़र्ज़ की, या रसूलल्लाह सबसे ज़्यादा सोहबत यानी एहसान का मुस्तहक़ कौन है इरशाद फ़रमाया "तुम्हारी माँ" यानी माँ का हक़ सबसे ज़्यादा है। उन्होंने पूछा फिर कौन हुज़ूर ने फिर माँ को बताया। उन्होंने फिर पूछा कि फिर कौन इरशाद फ़रमाया तुम्हारा वालिद"। और एक रिवायत में है कि हुज़ूर ने फ़रमाया "सबसे ज़्यादा माँ है, फिर माँ, फिर माँ, फिर बाप फिर वह जो ज़्यादा क़रीब, फिर वह है जो ज़्यादा क़रीब है"। यानी एहसान करने में माँ का मरतबा बाप से भी तीन दर्जा बलन्द है।

हदीस (2) अबूदाऊद व तिर्मिज़ी ब'रिवायत बहज़ बिन हकीम अ़न अबीहि अ़न जद्दिही रावी कहते हैं मैंने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह किसके साथ एहसान करूँ फ़रमाया "अपनी माँ के साथ। मैनें कहा फिर किसके साथ फ़रमाया अपनी माँ के साथ। मैंने कहा फिर किसके साथ फ़रमाया माँ के साथ मैंने कहा फिर किसके साथ फ़रमाया अपने बाप के साथ फिर उसके साथ जो ज़्यादा क़रीब हो फिर उसके बाद जो ज़्यादा क़रीब हो।

हदीस (3) सहीह मुस्लिम में इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "ज़्यादा एहसान करने वाला वह है जो अपने बाप के दोस्तों के साथ बाप के न होने की सूरत में एहसान करे" यानी जब बाप मरगया या कहीं चला गया हो।

हदीस (4) सहीह मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "उसकी नाक ख़ाक में मिले (उसको तीन मरतबा फ़रमाया) यानी ज़लील हो किसी ने पूछा या रसूलल्लाह कौन यानी यह किसके मुतअ़ल्लिक़ इरशाद है। फ़रमाया जिसने माँ, बाप दोनों या एक को बुढ़ापे के वक़्त पाया और जन्नत में दाख़िल न हुआ"। यानी उनकी ख़िदमत न की कि जन्नत में जाता।

हदीस (5) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में असमा बिन्ते अबी बक्र सिद्दीक़ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कहती हैं जिस ज़माने में कुरैश ने हुज़ूर से मुआ़हिदा किया था मेरी माँ जो मुश्रिका थी मेरे पास आई मैंने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह मेरी माँ आई है और वह इस्लाम की तरफ़ राग़िब है या वह इस्लाम से एअ़राज़ किए हुए है क्या मैं उसके साथ सुलूक करूँ इरशाद फ़रमाया "उसके साथ सुलूक करो"। यानी काफ़िरा माँ के साथ भी सुलूक किया जाये।

हदीस (6) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में मुग़ीरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "अल्लाह ने यह चीज़ें तुम पर हराम करदी हैं माओं की ना'फ़रमानी करना और लड़कियों को ज़िन्दा दरगोर करना और दूसरों को जो अपने ऊपर आता हो उसे न देना और अपना मांगना कि लाओ। और यह बातें तुम्हारे लिये मकरूह कीं "(1)क़ील व क़ाल यानी फ़ुज़ूल बातें और (2)कस्रते सुवाल और (3)इज़ाअते माल"(माल को बर्बाद करना)

हदीस (7) सहीह मुस्लिम व बुख़ारी में अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि रसूलुल्ला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "यह बात कबीरा गुनाहों में है कि आदमी अपने वालिदैन को गाली दे" लोगों ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्या कोई अपने वालिदैन को भी गाली देता है फ़रमाया "हाँ उसकी सूरत यह है कि यह दूसरे के बाप को गाली देता है, वह उसके बाप को गाली देता है, और यह दूसरे की माँ को गाली देता है वह उसकी माँ को गाली देता है"। सहाबा किराम जिन्होंने अरब का ज़मानाए जाहिलियत देखा था उनकी समझ में यह नहीं आया कि अपने माँ बाप को कोई क्योंकर गाली देगा यानी यह बात उनकी समझ से बाहर थी हुज़ूर ने बताया कि मुराद दूसरे से गाली दिलवाना है और अब वह ज़माना आया कि बाज़ लोग ख़ुद अपने माँ बाप को गालियाँ देते हैं और कुछ लिहाज़ नहीं करते।

हदीस (8) शरह सुन्ना में और बैहक़ी ने शोअ़बुल ईमान में आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "मैं जन्नत में गया, उसमें क़ुर्आन पढ़ने की आवाज़ सुनी, मैंने पूछा यह कौन पढ़ता है फ़िरिश्तों ने कहा हारिसा बिन नोअ़मान हैं हुज़ूर ने फ़रमाया यही हाल है एहसान का, यही हाल है एहसान का, हारिसा अपनी माँ के साथ बहुत भलाई करते थे"।

हदीस (9) तिर्मिज़ी ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "परवरदिगार की ख़ुश्नूदी बाप की ख़ुश्नूदी में है और परवरदिगार की नाख़ुशी बाप की नाराज़ी में है"।

हदीस (10) तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने रिवायत की कि एक शख़्स अबूदरदा रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया और यह कहा कि मेरी माँ मुझे यह हुक्म देती है कि मैं अपनी औरत को तलाक़ देदूँ अबूदरदा रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि "वालिद जन्नत के दरवाज़ों में बीच का दरवाज़ा है। अब तेरी ख़ुशी है कि उस दरवाज़े की हिफ़ाज़त करे या ज़ाइअ़ करदे"।

हदीस (11) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कहते हैं मैं अपनी बीवी से महब्बत रखता था और हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु उस औरत से कराहत करते थे उन्होंने मुझसे फ़रमाया कि उसे तलाक़ देदो मैंने नहीं दी फिर हजरत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और यह वाक़िआ बयान किया हुज़ूर ने मुझ से फ़रमाया कि "उसे तलाक़ देदो" उलमा फ़रमाते हैं कि अगर वालिदैन हक़ पर हों जब तो तलाक़ देना वाजिब ही है और अगर बीवी हक़ पर हो जब भी वालिदैन की रज़ा'मन्दी के लिये तलाक़ देना जाइज़ है।

हदीस (12) इब्ने माजा ने अबूउमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि एक शख़्स ने अर्ज़ की या'रसूलल्लाह वालिदैन का औलाद पर क्या हक़ है फ़रमाया कि वह दोनों तेरी जन्नत व दोज़ख़ हैं यानी उनको राज़ी रखने से जन्नत मिलेगी और नाराज़ रखने से दोज़ख़ के मुस्तहक़ होगे।

हदीस (13) बैहक़ी ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिसने इस हाल में सुबह की कि अपने वालिदैन का फ़रमाँ'बर्दार है उसके लिये सुबह ही को जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं और अगर वालिदैन में

से एक ही हो तो एक दरवाज़ा खुलता है और जिसने इस हाल में सुबह की कि वालिदैन के मुतअ़ल्लिक़ ख़ुदा की नाफ़रमानी करता है उसके लिये सुबह ही को जहन्नम के दो दरवाज़े खुल जाते हैं और एक हो तो एक दरवाज़ा खुलता है एक शख़्स ने कहा अगर्चे माँ, बाप उसपर ज़ुल्म करें फ़रमाया "अगर्चे ज़ुल्म करें, अगर्चे ज़ुल्म करें"।

हदीस् (14) बैहक़ी ने इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब औलाद अपने वालिदैन की तरफ़ नज़रे रहमत करे तो अल्लाह तआ़ला उसके लिये हर नज़र के बदले हज्जे मबरूर का सवाब लिखता है लोगों ने कहा अगर्चे दिन में सौ मरतबा नज़र करे फ़रमाया हाँ अल्लाह बड़ा है और अतयब है" यानी उसे सब कुछ कुदरत है उससे पाक है कि उसको उसके देने से आ़जिज़ कहा जाये।

हदीस् (15) इमाम अहमद व निसाई व बैहक़ी ने मुआ़विया बिन जाहिमा से रिवायत की कि उनके वालिद जाहिमा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह मेरा इरादा जिहाद में जाने का है हुज़ूर से मशवरा लेने को हाज़िर हुआ हूँ इरशाद फ़रमाया "तेरी माँ है अ़र्ज़ की हाँ फ़रमाया उसकी ख़िदमत लाज़िम करले कि जन्नत उसके क़दम के पास है"।

हदीस् (16) बैहक़ी ने अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "किसी के माँ बाप दोनों या एक का इन्तिक़ाल होगया और यह उनकी नाफ़रमानी करता था अब उनके लिये हमेशा इस्तिग़फ़ार करता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह तआ़ला उसको नेकोकार लिख देता है"।

हदीस् (17) निसाई व दारमी ने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "मन्नान यानी एहसान जताने वाला और वालिदैन की नाफ़रमानी करने वाला और शराब ख़्वारी की मुदावमत करने वाला जन्नत में नहीं जायेगा"।

हदीस् (18) तिर्मिज़ी ने इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि एक शख़्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अ़र्ज़ की कि या रसूलल्लाह मैंने एक बड़ा गुनाह किया है आया मेरी तौबा क़बूल होगी फ़रमाया "क्या तेरी माँ ज़िन्दा है अ़र्ज़ की नहीं फ़रमाया तेरी कोई ख़ाला है अ़र्ज़ की हाँ फ़रमाया उसके साथ एहसान करो"।

हदीस् (19) अबूदाऊद व इब्ने माजा ने अबी उसैद साइदी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर थे कि बनी सलमा में का एक शख़्स हाज़िर हुआ और अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह मेरे वालिदैन मर चुके हैं अब भी उनके साथ एहसान का कोई तरीक़ा बाक़ी है फ़रमाया "हाँ उनके लिए दुआ़ व इस्तिग़फ़ार करना और जो उन्होंने अ़हद किया है उसको पूरा करना और जिस रिश्ते वाले के साथ उन्हीं की वजह से सुलूक किया जा सकता हो उसके साथ सुलूक करना और उनके दोस्तों की इ़ज़्ज़त करना"।

हदीस् (20) हाकिम ने मुस्तदरक में कअ़ब बिन उ़जरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "तुम लोग मिम्बर के पास हाज़िर हो जाओ" सब हाज़िर हुए जब हुज़ूर मिम्बर के पहले दर्जे पर चढ़े फ़रमाया आमीन! जब दसूरे पर चढ़े कहा आमीन! जब तीसरे दर्जे पर चढ़े कहा आमीन! जब हुज़ूर मिम्बर से उतरे हमने अ़र्ज़ की हुज़ूर से आज ऐसी बात सुनी कि कभी ऐसी नहीं सुना करते थे। फ़रमाया कि जिब्रील मेरे पास आये और यह कहा कि "उसे रहमते इलाही से दूरी हो जिसने रमज़ान का महीना पाया और उसकी मग़्फ़िरत न हुई, इस पर मैंने आमीन! कहा जब मैं दूसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा उस शख़्स के लिये रहमते इलाही से दूरी हो जिसके सामने हुज़ूर का ज़िक्र हो और वह हुज़ूर पर दुरूद न पढ़े इस पर मैंने कहा आमीन! जब मैं तीसरे ज़ीने पर चढ़ा उन्होंने कहा उसके लिए दूरी हो जिसके माँ बाप

दोनों या एक को बुढ़ापा आया और उन्होंने उसे जन्नत में दाख़िल न किया मैंने कहा आमीन!"।

हदीस् (21) बैहकी ने सईद इब्ने आस़ रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "बड़े भाई का छोटे भाई पर वैसा ही ह़क़ है जैसा कि बाप का ह़क़ औलाद पर है"।

हदीस् (22) सह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जब अल्लाह मख़्लूक़ को पैदा फ़रमा चुका रिश्ता (कि यह भी एक मख़लूक़ है) खड़ा हुआ और दरबारे उलूहियत में इस्तिग़ासा किया इरशादे इलाही हुआ क्या है रिश्ता ने कहा मैं तेरी पनाह मांगता हूँ काटने वालों से। इरशाद हुआ क्या तू इसपर राज़ी नहीं कि जो तुझे मिलाये मैं उसे मिलाऊँगा और जो तुझे काटे मैं उसे काट दूँगा उसने कहा हाँ मैं राज़ी हूँ फ़रमाया तो बस यही है"।

हदीस् (23) सह़ीह़ बुख़ारी में अबूहुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "रह़म (रिश्ता) रह़मान से मुश्तक़ है अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया जो तुझे मिलायेगा मैं उसे मिलाऊँगा और जो तुझे काटेगा मैं उसे काटूंगा"।

हदीस् (24) सह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में उम्मुलमोमिनीन आइशा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "रिश्ता अ़र्शे इलाही से लिपटकर यह कहता है जो मुझे मिलायेगा अल्लाह उसको मिलायेगा और जो मुझे काटेगा अल्लाह उसे काटेगा"।

हदीस् (25) अबूदाऊद ने अ़ब्दुर्रह़मान इब्ने औ़फ़ रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि "अल्लाह तबारक तआ़ला ने फ़रमाया मैं अल्लाह हूँ और मैं रह़मान हूँ, रह़म (या़नी रिश्ता) को मैंने पैदा किया और उसका नाम मैंने अपने नाम से मुश्तक़ किया लिहाज़ा जो उसे मिलायेगा मैं उसे मिलाऊँगा और जो उसे काटेगा उसे काटूंगा।

हदीस् (26) स़ह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जो यह पसन्द करे कि उसके रिज़्क़ में वुसअ़त हो और उसके अस्र (यानी उम्र में) ताख़ीर की जाये तो अपने रिश्ते वालों के साथ सुलूक करे"।

हदीस् (27) इब्ने माजा ने स़ौबान रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "तक़दीर को कोई चीज़ रद नहीं करती मगर दुआ़ और बिर्र" यानी एह़सान करने से उ़म्र में ज़्यादती होती है और आदमी गुनाह करने की वजह से रिज़्क़ से मह़रूम होजाता है। इस ह़दीस् का मत़लब यह है कि दुआ़ से बलायें दफ़अ़ होती हैं यहाँ तक़दीर से मुराद तक़दीरे मुअ़ल्लक़ है और ज़्यादती–ए–उ़म्र का भी यही मत़लब है कि एह़सान करना दराज़ी–ए–उ़म्र का सबब है और रिज़्क से स़वाबे उख़रवी मुराद है कि गुनाह उसकी मह़रूमी का सबब है और हो सकता है कि बाज़ सूरतों में दुनियवी रिज़्क से भी मह़रूम होजाये।

हदीस् (28) ह़ाकिम ने मुस्तदरक में इब्ने अ़ब्बास रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अपने नसब पहचानो ताकि सि़लाए रह़म करो क्योंकि अगर रिश्ता को काटा जाये तो अगर्चे क़रीब हो वह क़रीब नहीं और अगर जोड़ा जाये तो दूर नहीं अगर्चे दूर हो"।

हदीस् (29) तिर्मिज़ी ने अबूहुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अपने नसब को इतना सीखो जिससे सि़ला रह़म कर सको क्योंकि सि़ला रह़म अपने लोगों में महब्बत का सबब है इस माल में ज़्यादा और अस्र (यानी उ़म्र)-में ताख़ीर होगी।

हदीस् (30) ह़ाकिम ने मुस्तदरक में आ़सि़म रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिसको यह पसन्द हो कि उ़म्र में दराज़ी हो और रिज़्क

में वुसअत हो और बुरी मौत दफ़अ़ हो वह अल्लाह तआला से डरता रहे और रिश्ते वालों से सुलूक करे।

हदीस् (31) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में जुबैर बिन मुतइम रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "रिश्ता काटने वाला जन्नत में नहीं जायेगा"।

हदीस् (32) बैहक़ी ने शोअ़बुल ईमान में अ़ब्दुल्लाह इब्ने उबई औफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मैंने यह फ़रमाते सुना कि "जिस क़ौम में क़ातिअ़ रहम होता है उस पर रहमते इलाही नहीं उतरती"।

हदीस् (33) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने अबूबक्र रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिस गुनाह की सज़ा दुनिया में भी जल्द ही देदी जाये और उसके लिये आख़िरत में भी अ़ज़ाब का ज़ख़ीरा रहे वह बग़ावत और क़तअ़ रहम से बढ़कर नहीं" और बैहक़ी की रिवायत शोअ़बुल ईमान में उन्हीं से यूँ है कि जितने गुनाह हैं उनमें से जिस को अल्लाह तआला चाहता है मुआफ़ कर देता है सिवा वालिदैन की नाफ़रमानी के कि उस की सज़ा ज़िन्दगी में मौत से पहले दीजाती है।

हदीस् (34) सहीह बुख़ारी में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "सिला रहमी इसका नाम नहीं कि बदला दिया जाये यानी उसने इसके साथ एहसान किया इसने उसके साथ करदिया बल्कि सिला रहमी करने वाला वह है कि उधर से काटा जाता है और यह जोड़ता है"।

हदीस् (35) सहीह मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक शख़्स ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह मेरी क़राबत वाले ऐसे हैं कि मैं उन्हें मिलाता हूँ और वह काटते हैं मैं उन के साथ एहसान करता हूँ वह मेरे साथ बुराई करते हैं और मैं उनके साथ हिल्म से पेश आता हूँ और वह मुझ पर जिहालत करते हैं इरशाद फ़रमाया "अगर ऐसा ही है जैसा तुमने बयान किया तुम उनको गर्म राख फंकाते हो और हमेशा अल्लाह की तरफ़ से तुम्हारे साथ एक मदद गार रहेगा जब तक तुम्हारी यही हालत रहे"।

हदीस् (36) हाकिम ने मुस्तदरक में उक़बा बिन आमिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुलाक़ात को गया मैंने जल्दी से हुज़ूर का दस्ते मुबारक पकड़ लिया और हुज़ूर ने मेरे हाथ को जल्दी से पकड़ लिया फिर फ़रमाया "ऐ उक़बा दुनिया व आख़िरत के अफ़ज़ल अख़लाक़ यह हैं कि तुम उसको मिलाओ जो तुम्हें जुदा करे और जो तुम पर ज़ुल्म करे उसे मुआफ़ करो और जो यह चाहे कि उम्र में दराज़ी हो और रिज़्क़ में वुस्अ़त हो वह अपने रिश्ते वालों के साथ सिला करे।

मसाइले फ़िक़्हिया:– सिला रहम के मअ़ना रिश्ता को जोड़ना है यानी रिश्ते वालों के साथ नेकी और सुलूक करना। सारी उम्मत का इसपर इत्तिफ़ाक़ है कि सिला रहम वाजिब है और क़तअ़े रहम हराम है। जिन रिश्ते वालों के साथ सिला वाजिब है वह कौन हैं बाज़ उलमा ने फ़रमाया वह ज़ू रहम महरम हैं और बाज़ ने फ़रमाया इससे मुराद ज़ू रहम है महरम हों या न हों। और ज़ाहिर यही क़ौले दोम है अहादीस् में मुतलक़न रिश्ते वालों के साथ सिला करने का हुक्म आता है क़ुर्आन मजीद में मुतलक़न ज़विलक़ुर्बा फ़रमाया गया मगर यह बात ज़रूरी है कि रिश्ते में चूंकि मुख़्तलिफ़ दरजात हैं सिला रहम के दरजात में भी तफ़ावुत (फ़र्क़) होता है। वालिदैन का मरतबा सबसे बढ़कर है इनके बाद ज़ूरहम महरम का, उनके बाद बक़िया रिश्ते वालों का। अ़ला क़द्रे मरातिब (मरातिब के लिहाज़ से) (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.1:– सिला रहम की मुख़्तलिफ़ सूरतें हैं उनको हदया व तोहफ़ा देना और अगर उनको किसी बात में तुम्हारी इआनत दर कार हो तो उस काम में उनकी मदद करना उन्हें सलाम करना उनकी मुलाक़ात को जाना उनके पास उठना, बैठना उनसे बात, चीत करना उनके साथ लुत्फ़ व

मेहरबानी से पेश आना। (दुरर)

मसअला.2:– अगर यह शख़्स परदेस में है तो रिश्ते वालों के पास ख़त भेजा करे उनसे ख़त व किताबत जारी रखे ताकि बे तअल्लुक़ी पैदा न होने पाये और होसके तो वतन आये और रिश्ते दारों से तअल्लुक़ ताज़ा करले इस तरह करने से महब्बत में इज़ाफ़ा होगा। (रद्दुल मुहतार)

मसअला.3:– यह परदेस में है वालिदैन उसे बुलाते हैं तो आना ही होगा ख़त लिखना काफ़ी नहीं है यूहीं वालिदैन को उसकी ख़िदमत की हाजत हो तो आये और उनकी ख़िदमत करे। बाप के बाद दादा और बड़ा भाई का मरतबा है कि बड़ा भाई ब'मन्ज़िला बाप के होता है बड़ी बहन और ख़ाला माँ की जगह पर है बाज़ ने चचा को बाप की मिस्ल बताया और हदीस عم الرجل صنو ابيه से भी यही मुस्तफ़ाद होता है उनके अलावा औरों के पास ख़त भेजना या हदया भेजना किफ़ायत करता है।(रद्दुल)

मसअला.4:– रिश्तेदारों से नाग़ा देकर मिलता रहे यानी एक दिन मिलने को जाये दूसरे दिन न जाये व अ़ला हाज़लक़ियास (और इसी तरह समझिये) कि इससे महब्बत उलफ़त ज़्यादा होती है बल्कि अक़रबा से जुमा जुमा मिलता रहे या महीने में एक बार और तमाम क़बीला और ख़ान्दान को एक होना चाहिए जब हक़ उनके साथ हो तो दूसरों से मुक़ाबला और इज़हारे हक़ में सब मुत्तहिद होकर काम करें जब अपना कोई रिश्तेदार कोई हाजत पेश करे तो उसकी हाजत रवाई करे उसको रद कर देना क़तअ़े रहम है। (दुरर)

मसअला.5:– सिला रहम उसी का नाम नहीं कि वह सुलूक करे तो तुम भी करो यह चीज़ तो हक़ीक़त में मुकाफ़ात यानी अदला बदला करना है कि उसने तुम्हारे पास चीज़ भेजदी तुमने उसके पास भेजदी वह तुम्हारे यहाँ आया तुम उसके पास चले गये हक़ीक़तन सिला रहम यह है कि वह काटे और तुम जोड़ो, वह तुमसे जुदा होना चाहता है बे एअ्तिनाई करता है और तुम उसके साथ रिश्ते के हुक़ूक़ की मुराआत करो। (रद्दुलमुहतार)

मसअला.6:– हदीस में आया है कि सिला रहम से उम्र ज़्यादा होती है और रिज़्क़ में वुस्अ़त होती है बाज़ उलमा ने इस हदीस को ज़ाहिर पर हमल किया यानी यहाँ क़ज़ा मुअ़ल्लक़ मुराद है क्योंकि क़ज़ा मुबरम टल नहीं सकती اذا جاء اجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون और बाज़ ने फ़रमाया कि ज़्यादती उम्र का यह मतलब है कि मरने के बाद भी उसका सवाब लिखा जाता है गोया वह अब भी ज़िन्दा है या यह मुराद है कि मरने के बाद भी उसका ज़िक्रे ख़ैर लोगों में बाक़ी रहता है। (रद्दुलमुहतार)

औलाद पर शफ़क़त और यतीमों पर रहमत

हदीस (1) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में उम्मुलमोमिनीन आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी कि एक एअ्राबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में अ़र्ज़ की कि आप लोग बच्चों को बोसा देते हैं हम उन्हें बोसा नहीं देते हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया कि "अल्लाह तआला ने तेरे दिल से रहमत निकाल ली है तो मैं क्या करूँ"।

हदीस (2) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कहते हैं एक औरत अपनी दो लड़कियाँ लेकर मेरे पास आई और उसने मुझसे कुछ मांगा मेरे पास एक खजूर के सिवा कुछ न था मैंने वही देदी औरत ने खजूर तक़सीम करके दोनों लड़कियों को देदी और खुद नहीं खाई जब वह चली गई हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम तशरीफ़ लाये मैंने यह वाक़िआ बयान किया हुज़ूर ने इरशाद फ़रमाया "जिसको खुदा ने लड़कियाँ दी हों अगर वह उनके साथ एहसान करे तो वह जहन्नम की आग से उसके लिये रोक होजायेंगी"।

हदीस (3) इमाम अहमद व मुस्लिम ने आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कहती हैं एक मिस्कीन औरत दो लड़कियों को लेकर मेरे पास आई मैंने उसे तीन खजूरें दीं एक एक लड़कियों को देदी और एक को मुँह तक खाने के लिये लेगई कि लड़कियों ने उससे मांगी उसने दो टुकड़े करके दोनों को देदी जब यह वाक़िआ हुज़ूर को सुनाया इरशाद फ़रमाया "अल्लाह

तआ़ला ने उसके लिये जन्नत वाजिब करदी और जहन्नम से आज़ाद कर दिया"।

हदीस (4) सहीह मुस्लिम में अनस रदि़यल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिसकी अ़याल (परवरिश) में दो लड़कियाँ बुलूग़ तक रहें वह क़ियामत के दिन उस त़रह आयेगा कि मैं और वह पास पास होंगे और हुज़ूर ने अपनी उंगलियाँ मिलाकर फ़रमाया कि इस त़रह"।

हदीस (5) शरह सुन्नत में इब्ने अ़ब्बास रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स़ यतीम को अपने खाने पीने में शरीक करे अल्लाह तआ़ला उसके लिये ज़रूर जन्नत वाजिब करदेगा मगर जब कि ऐसा गुनाह किया हो जिसकी मग़्फ़िरत न हो और जो शख़्स़ तीन लड़कियों या इतनी ही बहनों की परवरिश करे उनको अदब सिखाये उनपर मेहबानी करे यहाँ तक कि अल्लाह तआ़ला उन्हें बे'नियाज़ करदे।(या़नी अब उन को ज़रूरत बाक़ी न रहे) अल्लाह तआ़ला उसके लिये जन्नत वाजिब कर देगा" किसी ने कहा या रसूलल्लाह या दो (या़नी दो की परवरिश में यही स़वाब होजाये) फ़रमाया दो (या़नी उन में भी वही स़वाब है) और अगर लोगों ने एक के मुतअ़ल्लिक़ कहा होता तो हुज़ूर एक को भी फ़रमा देते और जिसकी करीमतैन को अल्लाह ने दूर कर दिया उसके लिये जन्नत वाजिब है दरयाफ़्त किया गया करीमतैन क्या हैं फ़रमाया आँखें।

हदीस (6) अबूदाऊद ने औ़फ़ बिन मालिक अश्जई रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "मैं और वह औ़रत जिसके रुख़्सारे मैले हैं दोनों जन्नत में इस त़रह होंगे"। या़नी जिस तरह कलिमा और बीच की उंगलियाँ पास पास हैं इससे मुराद वह औ़रत है जो मनस़ब व जमाल वाली थी और बेवा होगई और उसने यतीमों की ख़िदमत की यहाँ तक कि वह जुदा होजायें। (या़नी बड़े होजायें) या मर जायें।

हदीस (7) इमाम अह़मद व ह़ाकिम व इब्ने माजा ने सुराक़ा इब्ने मालिक रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि नबी करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "क्या मैं तुमको यह न बतादूँ कि अफ़ज़ल स़दक़ा क्या है वह अपनी उस लड़की पर स़दक़ा करना है जो तुम्हारी त़रफ़ वापस हुई (या़नी उसका शौहर मरगया या उसको त़लाक़ देदी और बाप के यहाँ चली आई) तुम्हारे सिवा उसका कमाने वाला कोई नहीं है"।

हदीस (8) अबू'दाऊद ने इब्ने अ़ब्बास रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिसकी लड़की हो और वह उसे ज़िन्दा दर'गोर न करे, और उसकी तौहीन न करे, और औलादे ज़कूर (लड़के) को उसपर तर्जीह़ न दे अल्लाह तआ़ला उसको जन्नत में दाख़िल फ़रमायेगा"।

हदीस (9) तिर्मिज़ी ने जाबिर इब्ने समुरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "कोई शख़्स़ अपनी औलाद को अदब दे वह उसके लिये एक स़ाअ़ स़दक़ा करने से बेहतर है"।

हदीस (10) तिर्मिज़ी व बैहक़ी ने ब'रिवायत अय्यूब इब्ने मूसा अबीहि अ़न जद्देही रिवायत की कि रसूलुल्लह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "बाप की औलाद को कोई अ़तिया अदबे ह़सन से बेहतर नहीं"।

हदीस (11) तिर्मिज़ी व ह़ाकिम ने अ़म्र बिन सईद बिनिलआ़स़ रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "वालिद का अपनी औलाद को इससे बढ़कर कोई अ़तिया नहीं कि उसे अच्छे आदाब सिखाये"।

हदीस (12) इब्ने माजा ने अनस रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अपनी औलाद का इकराम करो और उन्हें अच्छे आदाब सिखाओ"।

हदीस (13) इब्नुन्नज्जार ने अबूहुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ल अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "बाप के ज़िम्मे भी औलाद के हुकूक़ हैं जिस तरह औलाद के ज़िम्मे बाप के हुकूक़ हैं"।

हदीस (14) तिबरानी ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अपनी औलाद को बराबर दो अगर मैं किसी को फ़ज़ीलत देता तो लड़कियों को फ़ज़ीलत देता"।

हदीस (15) तिबरानी ने नोअ्मान बिन बशीर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "अतिया में अपनी औलाद के दरम्यान अद्ल करो जिस तरह तुम खुद यह चाहते हो कि वह सब तुम्हारे साथ एहसान व मेहरबानी में अद्ल करें"।

हदीस (16) इब्नुन्नज्जार ने नोअ्मान बिन बशीर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "अल्लाह तआला इसको पसन्द करता है कि तुम अपनी औलाद के दरम्यान अद्ल करो यहाँ तक कि बोसा लेने में"।

हदीस (17) सहीह बुख़ारी में सुहैल इब्ने सअ्द रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जो शख़्स यतीम की किफ़ालत करे वह यतीम उसी घर का हो या ग़ैर का मैं वह दोनों जन्नत में इस तरह होंगे हुज़ूर ने कलिमा की उंगली और बीच की उंगली से इशारा किया और दोनों उंगलियों के दरम्यान थोड़ा सा फ़ासिला किया"।

हदीस (18) इब्ने माजा ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "मुसलमानों में सबसे बेहतर घर वह है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ एहसान किया जाता हो और मुसलामनों में सब से बुरा वह घर है जिस में यतीम हो और उसके साथ बुराई की जाती हो"।

हदीस (19) इमाम अहमद व तिर्मिज़ी ने अबूउमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स यतीम के सर पर महज़ अल्लाह के लिये हाथ फेरे तो जितने बालों पर उसका हाथ गुज़रेगा हर बाल के मुक़ाबिल में उस के लिये नेकियाँ हैं और जो शख़्स यतीम लड़की या यतीम लड़के पर एहसान करे मैं और वह जन्नत में (दो उंगलियों को मिलाकर फ़रमाया) इस तरह होंगे"।

हदीस (20) इमाम अहमद ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि एक शख़्स ने अपनी दिल की सख़्ती की शिकायत की नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "यतीम के सर पर हाथ फेरो और मिस्कीन को खाना खिलाओ"।

हदीस (21) तिबरानी ने औसत में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया कि "लड़का यतीम हो तो उसके सर पर हाथ फेरने में आगे को लाये और बच्चे का बाप हो तो हाथ फेरने में गर्दन की तरफ़ ले जाये"।

पड़ोसियों के हुकूक़

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है।

﴿وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَ لَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْاً وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَاناً وَّ بِذِی الْقُرْبٰی وَالْيَتٰمٰی وَ الْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِذِی الْقُرْبٰی وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ وَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مختالا فَخُوراً ﴾

"और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न करो माँ, बाप से भलाई करो और रिश्ते दारों और यतीमों और मोहताजों और पास के हमसाया और दूर के हमसाया और करवट के साथी और राहगीर और अपने बान्दी गुलाम से, बेशक अल्लाह को खुश नहीं आता कोई इतराने वाला बड़ाई मारने वाला"।

हदीस (1) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "ख़ुदा की क़सम वह मोमिन नहीं, ख़ुदा की क़सम वह मोमिन नहीं, ख़ुदा की क़सम वह मोमिन नहीं, अर्ज़ की गई कौन या रसूलल्लाह फ़रमाया वह शख़्स कि

उसके पड़ोसी उसकी आफ़तों से महफ़ूज़ न हों यानी जो अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ें देता है"।

हदीस् (2) सहीह़ बुख़ारी में अनस रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "वह जन्नत में नहीं जायेगा जिसका पड़ोसी उसकी आफ़तों से अमन में नहीं है"।

हदीस् (3) सहीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत उम्मुलमोमिनीन आइशा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जिब्रील अ़लैहिस्सलाम मुझे पड़ोसी के मुतअ़ल्लिक़ बराबर वसियत करते रहे यहाँ तक कि मुझे गुमान हुआ कि पड़ोसी को वारिस् बनादेंगे"।

हदीस् (4) तिर्मिज़ी व दारमी व हाकिम ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अल्लाह तआ़ला के नज़्दीक साथियों में वह बेहतर है जो अपने साथी का ख़ैर ख़्वाह हो और पड़ोसियों में अल्लाह के नज़्दीक वह बेहतर है जो अपने पड़ोसी का ख़ैर ख़्वाह हो"।

हदीस् (5) हाकिम ने मुस्तदरक में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स अल्लाह और पिछले दिन (क़ियामत) पर ईमान रखता है वह अपने पड़ोसी का इकराम करे"।

हदीस् (6) इब्ने माजा ने अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कहते हैं एक शख़्स ने हुज़ूर की ख़िदमत में अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह मुझे यह क्योंकर मालूम हो कि मैंने अच्छा किया या बुरा किया फ़रमाया "जब तुम अपने पड़ोसियों को यह कहते सुनो कि तुमने अच्छा किया है तो बेशक तुमने अच्छा किया और जब यह कहते सुनो कि तुमने बुरा किया बेशक तुमने बुरा किया है"।

हदीस् (7) बैहक़ी ने शोअ़बुल ईमान में अ़ब्दुर्रहमान इब्ने उबई क़ुराद रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने वज़ू किया सहाबा किराम ने वज़ू का पानी लेकर मुँह वग़ैरा पर मसह करना शुरूअ़ करदिया हुज़ूर ने फ़रमाया क्या चीज़ तुम्हें इस काम पर आमादा करती है अ़र्ज़ की अल्लाह व रसूल की महब्बत हुज़ूर ने फ़रमाया जिसकी ख़ुशी यह हो कि अल्लाह व रसूल से महब्बत करें वह जब बात बोले सच बोले और जब उसके पास अमानत रखी जाये तो अमानत अदा करदे और जो उसके जवार में हो उसके साथ एहसान करे।

हदीस् (8) बैहक़ी ने शोअ़बुलईमान में इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रिवायत की कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना "मोमिन वह नहीं जो ख़ुद पेट भर खाये और उसका पड़ोसी उसके पहलू में भूका रहे"। यानी मोमिने कामिल नहीं।

हदीस् (9) तिबरानी ने जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया "जब कोई शख़्स हान्डी पकाये तो शोरबा ज़्यादा करे और पड़ोसी को भी उसमें से कुछ दे"।

हदीस् (10) दैलमी ने हज़रत आइशा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हा से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया "ऐ आइशा! पड़ोसी का बच्चा आजाये तो उसके हाथ में कुछ रखदो कि इससे महब्बत बढ़ेगी"।

हदीस् (11) सहीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "पड़ोसी तुम्हारी दीवार पर कड़ियाँ रखना चाहे तो उसे मनअ़ न करो" यह हुक्म दियानत का है क़ज़ाअ़न उसको मनअ़ कर सकता है।

हदीस् (12) इमाम अह़मद व बैहक़ी ने शोअ़बुल ईमान में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि एक शख़्स ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह फ़ुलानी औ़रत के मुतअ़ल्लिक़ ज़िक्र किया जाता है कि नमाज़ व रोज़ा व सदक़ा कस्रत से करती है मगर यह बात भी है कि वह अपने पड़ोसियों को ज़बान से तकलीफ़ पहुँचाती है फ़रमाया वह जहन्नम में है उन्होंने कहा या रसूलल्लाह फ़ुलानी औ़रत की निस्बत ज़िक्र किया जाता है कि उसके रोज़ा व सदक़ा व नमाज़ में कमी है (यानी

(नवाफ़िल) वह पनीर के टुकड़े सदक़ा करती है और अपनी ज़बान से पड़ोसियों को ईज़ा नहीं देती फ़रमाया वह जन्नत में है।

हदीस़ (13) इमाम अहमद व बैहक़ी ने अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे मा'बैन अख़लाक़ की उसी तरह तक़सीम फ़रमाई, जिस तरह रिज़्क़ की तक़सीम फ़रमाई अल्लाह तआ़ला दुनिया उसे भी देता है जो उसे महबूब हो और उसे भी जो महबूब नहीं और दीन सिर्फ़ उसी को देता है जो उसके नज़्दीक प्यारा है लिहाज़ा जिसको ख़ुदा ने दीन दिया उसे महबूब बना लिया क़सम उसकी जिसके दस्ते क़ुदरत में मेरी जान है बन्दा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक उसका दिल और ज़बान मुसलमान न हो यानी जब तक दिल में तस्दीक़ और ज़बान से इक़रार न हो और मोमिन नहीं होता जब तक उसका पड़ोसी उसकी आफ़तों से अमन में न हो उसी की मिस्ल हाकिम ने मुस्तदरक में रिवायत की"।

हदीस़ (14) हाकिम ने मुस्तदरक में नाफ़ेअ़ इब्ने अ़ब्दुल'हारिस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "मर्द मुस्लिम के लिये दुनिया में यह बात सआ़दत में से है कि उसका पड़ोसी सालेह (नेक) हो और मकान कुशादा हो और सवारी अच्छी हो"।

हदीस़ (15) हाकिम ने मुस्तदरक में आइशा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की कहते हैं मैंने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह मेरे दो पड़ोसी हैं उनमें से किसके पास हदया भेजूँ फ़रमाया "जिसका दरवाज़ा ज़्यादा नज़्दीक हो"।

हदीस़ (16) इमाम अहमद ने उ़क़बा इब्ने आ़मिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "क़ियामत के दिन सबसे पहले जो दो शख़्स़ अपना झगड़ा पेश करेंगे वह दोनों पड़ोसी होंगे"।

हदीस़ (17) बैहक़ी ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से ब'सनदे ज़ईफ़ रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "तुम्हें मालूम है कि पड़ोसी का क्या हक़ है यह कि जब वह तुमसे मदद मांगे मदद करो जब क़र्ज़ मांगे क़र्ज़ दो और जब मुसीबत पहुँचे तो तअ़ज़ियत करो और मरजाये तो जनाज़े के साथ जाओ और बिग़ैर इजाज़त अपनी इमारत बलन्द न करो कि उसकी हवा रोक दो और अपनी हान्डी से उसको ईज़ा न दो मगर उसमें से कुछ उसे भी दो और मेवे ख़रीदो तो उसके पास भी हदया करो और अगर हदया न करना हो तो छुपाकर मकान में लाओ और तुम्हारे बच्चे उसे लेकर बाहर न निकलें कि पड़ोसी के बच्चों को रंज होगा। तुम्हें मालूम है पड़ोसी का क्या हक़ है क़सम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है पूरे तौर पर पड़ोसी का हक़ अदा करने वाले थोड़े हैं वही जिस पर अल्लाह की मेहबानी है"। बराबर पड़ोसी के मुतअ़ल्लिक़ हुज़ूर वसियत फ़रमाते रहे यहाँ तक कि लोगों ने गुमान किया कि पड़ोसी को वारिस़ करदेंगे फिर हुज़ूर ने फ़रमाया कि पड़ोसी तीन क़िस्म के हैं बाज़ के तीन हक़ हैं बाज़ के दो और बाज़ का एक हक़ है जो पड़ोसी मुस्लिम हो और रिश्ते वाला हो उसके तीन हक़ हैं हक़्क़े जवार और हक़्क़े इस्लाम और हक़्क़े क़राबत पड़ोसी मुस्लिम के दो हक़ हैं हक़्क़े जवार और हक़्क़े इस्लाम और पड़ोसी काफ़िर का सिर्फ़ एक हक़्क़े जवार है हमने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह उनको अपनी कुर्बानियों में से दें फ़रमाया कि मुश्रिकीन को कुर्बानियों में से कुछ न दो।

मसअला.1:– छत पर चढ़ने में दूसरों के घरों में निगाह पहुँचती है तो वह लोग छत पर चढ़ने से मनअ़ कर सकते हैं जब तक पर्दा की दीवार न बनवाले या कोई ऐसी चीज़ न लगाले जिससे बे'पर्दगी न हो और अगर दूसरे लोगों के घरों में नज़र नहीं पड़ती मगर वह लोग जब छत पर चढ़ते हैं तो सामना होता है तो उसको चढ़ने से मनअ़ नहीं कर सकते बल्कि उनकी मस्तूरात को यह चाहिए कि वह ख़ुद छतों पर न चढ़ें ताकि बे'पर्दगी न हो। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– इसके मकान की छत दूसरे के मकान में है यह अपनी दीवार में मिट्टी लगाना चाहता है मालिक मकान अपने घर में जाने से उसे रोकता है अब मिट्टी क्योंकर लगाई जाये मालिक मकान से कहा जायेगा कि उसे मकान में जाने की इजाज़त दे वरना वह ख़ुद मिट्टी लगवादे इसके पैसे उससे दिलवादिये जायेंगे इसी त़रह़ अगर उसकी दीवार दूसरे के मकान में गिरगई है वहाँ से मिट्टी उठाने की ज़रूरत है मालिक मकान उसको इजाज़त देदे कि यह वहाँ से मिट्टी उठाये और इजाज़त नहीं देता तो ख़ुद उठाये। (आलमगीरी)

मख़लूके ख़ुदा पर मेहरबानी करना

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

﴿تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

"नेकी और परहेज़गारी पर आपस में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह व ज़ुल्म पर मदद न करो"।

ह़दीस् (1) स़ह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में जुरैर बिन अ़ब्दुल्लाह रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अल्लाह तआ़ला उस पर रह़म नहीं करता जो लोगों पर रह़म नहीं करता"।

ह़दीस् (2) अह़मद व तिर्मिज़ी ने अबूहुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं कि मैंने अबुल'क़ासिम स़ादिक़ मस्दूक़ स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना कि "रह़मत नहीं निकाली जाती मगर बदबख़्त से"।

ह़दीस् (3) अबूदाऊद व तिर्मिज़ी ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "रह़म करने वालों पर रह़मान रह़म करता है ज़मीन वालों पर रह़म करो, तुम पर वह रह़म फ़रमायेगा जिसकी हुकूमत आसमान में है"।

ह़दीस् (4) तिर्मिज़ी ने इब्ने अ़ब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "वह हम में से नहीं जो हमारे छोटे पर रह़म न करे और हमारे बड़े की तौक़ीर न करे और अच्छी बात का हुक्म न करे और बुरी बात से मनअ़ न करे"।

ह़दीस् (5) तिर्मिज़ी ने अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की "जवान अगर बूढ़े का इकराम उसकी उ़म्र की वजह से करेगा तो उसकी उ़म्र के वक़्त अल्लाह तआ़ला ऐसे को मुक़र्रर करदेगा जो उस का इकराम (ताज़ीम) करे"।

ह़दीस् (6) अबूदाऊद ने अबूमूसा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया यह बात अल्लाह तआ़ला की तअ़ज़ीम में से है कि बूढ़े मुसलमान का इकराम किया जाये और उस ह़ामिले क़ुर्आन का इकराम किया जाये जो न ग़ाली हो न ज़ानी (यानी जो ग़ुलू करते हैं कि ह़द से तजावुज़ कर जाते हैं कि पढ़ने में अलफ़ाज़ की सेह़त का लिहाज़ नहीं रखते या मअ़ना ग़लत़ बयान करते हैं या रिया के त़ौर पर तिलावत करते हैं और जफ़ा यह है कि उससे एअ़राज़ करे, न क़ुर्आन की तिलावत करे, न उसके अह़काम पर अ़मल करे) और बादशाहे आ़दिल का इकराम करना"।

ह़दीस् (7) इमाम अह़मद व बैहक़ी ने अबूहुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "मोमिन उलफ़त की जगह है और उस शख़्स में कोई भलाई नहीं जो न उलफ़त करे न उससे उलफ़त की जाये"।

ह़दीस् (8) बैहक़ी ने अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो मेरी उम्मत में किसी की ह़ाजत पूरी करदे जिससे मक़सूद उसको ख़ुश करना है उसने मुझे ख़ुश किया और जिसने मुझे ख़ुश किया उसने अल्लाह को ख़ुश किया और जिसने अल्लाह को ख़ुश किया अल्लाह उसे जन्नत में दाख़िल फ़रमायेगा"।

ह़दीस् (9) बैहक़ी ने अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो किसी मज़लूम की फ़रयाद'रसी करे अल्लाह तआ़ला उसके लिये तिहत्तर मग़्फ़िरतें लिखेगा उनमें से एक से उनके तमाम कामों की दुरुस्ती होजायेगी और

बेहतर से क़ियामत के दिन उसके दर्जे बलन्द होंगे''।

हदीस (10) सहीह मुस्लिम में नोअ़मान इब्ने बशीर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ''तमाम मोमिनीन शख़्से वाहिद की मिस्ल हैं अगर उसकी आँख बीमार हुई तो वह कुल बीमार है और सर में बीमारी हुई तो कुल बीमार है''।

हदीस (11) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूमूसा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मोमिन मोमिन के लिये इमारत की मिस्ल है कि ''उसका बाज़ बाज़ को कुव्वत पहुँचाता है फिर हुज़ूर ने एक हाथ की उंगलियाँ दूसरे हाथ की उंगलियों में दाख़िल फ़रमाईं यानी जिस तरह यह मिली हुई हैं मुसलमानों को भी इसी तरह होना चाहिए''

हदीस (12) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''अपने भाई की मदद कर ज़ालिम हो या मज़लूम हो'' किसी ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह मज़लूम हो तो मदद करूँगा ज़ालिम हो तो क्योंकर मदद करूँ। फ़रमाया कि ''उस को ज़ुल्म करने से रोकदे यही मदद करना है''।

हदीस (13) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''मुस्लिम मुस्लिम का भाई है न उस पर ज़ुल्म करे, न उसकी मदद छोड़े और जो शख़्स अपने भाई की हाजत में हो अल्लाह उसकी हाजत में है और जो शख़्स मुस्लिम से किसी एक तकलीफ़ को दूर करे अल्लाह तआ़ला क़ियामत की तकलीफ़ में से एक तकलीफ़ उसकी दूर कर देगा और जो शख़्स मुस्लिम की पर्दा पोशी करेगा अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन उसकी पर्दा पोशी करेगा''।

हदीस (14) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''क़सम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है बन्दा मोमिन नहीं होता जब तक अपने भाई के लिये वह पसन्द न करे जो अपने लिये पसन्द करता है''।

हदीस (15) सहीह मुस्लिम में तमीम दारी रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी कि नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''दीन ख़ैर ख़्वाही का नाम है'' इसको तीन मरतबा फ़रमाया हमने अ़र्ज़ की किसकी ख़ैर ख़्वाही, फ़रमाया ''अल्लाह व रसूल और उसकी किताब की और अइम्माए मुस्लिमीन और आ़म मुसलमानों की''।

हदीस (16) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में जुरैर इब्ने अ़ब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से नमाज़ क़ाइम करने और ज़कात देने और हर मुसलमान की ख़ैर ख़्वाही करने पर बैअ़त की थी।

हदीस (17) अबूदाऊद ने हज़रत आइशा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ''लोगों को उनके मरतबे में उतारो'' यानी हर शख़्स के साथ उस तरह पेश आओ जो उसके मरतबे के मुनासिब हो सबके साथ एकसा बरताव न हो मगर उसमें यह लिहाज़ ज़रूर करना होगा कि दूसरे की तहक़ीर व तज़लील न हो।

हदीस (18) तिर्मिज़ी व बैहक़ी ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''तुम में अच्छा वह शख़्स है जिससे भलाई की उम्मीद हो और जिसकी शरारत से अमन हो और तुममें बुरा वह शख़्स है जिससे भलाई की उम्मीद न हो और जिसकी शरारत से अमन न हो''।

हदीस (19) बैहक़ी ने अनस रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''तमाम मख़लूक़ अल्लाह तआ़ला की एयाल है और अल्लाह तआ़ला के नज़्दीक सब में प्यारा वह है जो उसकी एयाल के साथ एहसान करे''।

हदीस (20) तिर्मिज़ी ने अबूज़र रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु

तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जहाँ कहीं रहो ख़ुदा से डरते रहो और बुराई होजाये तो उस के बाद नेकी करो यह नेकी उसे मिटादेगी और लोगों से अच्छे अख़लाक़ के साथ पेश आओ"।

नर्मी व हया व ख़ूबी–ए– अख़लाक़ का बयान

हदीस् (1) अल्लाह तआला मेहरबान है, मेहरबानी को दोस्त रखता है और मेहरबानी करने पर वह देता है कि सख़्ती पर नहीं देता। (मुस्लिम)

हदीस् (2) हज़रत आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया "नर्मी को लाज़िम करलो और सख़्ती व फ़हश से बचो जिस चीज़ में नर्मी होती है उसको ज़ीनत देती है और जिस चीज़ से जुदा करली जाती है उसे ऐबदार कर देती है"। (मुस्लिम)

हदीस् (3) जो नर्मी से महरूम हुआ वह ख़ैर से महरूम हुआ। (मुस्लिम)

हदीस् (4) जिसको नर्मी से हिस्सा मिला उसे दुनिया व आख़िरत की खैर का हिस्सा मिला और जो शख़्स नर्मी के हिस्से से महरूम हुआ वह दुनिया व आख़िरत के ख़ैर से महरूम हुआ। (शरह सुन्ना)

हदीस् (5) क्या मैं तुमको ख़बर न दूँ कि कौन शख़्स जहन्नम पर हराम है और जहन्नम उस पर हराम वह शख़्स कि आसानी करने वाला नर्म क़रीब सहल है। (अहमद तिर्मिज़ी)

हदीस् (6) मोमिन आसानी करने वाले नर्म होते हैं जैसे नकेल वाला ऊँट कि खींचा जाता है तो खिंच जाता है और चट्टान पर बिठाया जाये तो बैठ जाये। (तिर्मिज़ी)

हदीस् (7) एक शख़्स अपने भाई को हया के मुतअल्लिक़ नसीहत कर रहा था कि इतनी हया क्यों करते हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "उसे छोड़ो" यानी नसीहत न करो क्योंकि हया ईमान से है"। (बुख़ारी, मुस्लिम)

हदीस् (8) "हया नहीं लाती है मगर ख़ैर को हया कुल ही ख़ैर है"। (बुख़ारी, मुस्लिम)

हदीस् (9) "यह अगले अम्बिया का कलाम है जो लोगों में मशहूर है जब तुझे हया नहीं तो जो चाहे कर"। (बुख़ारी)

हदीस् (10) हया ईमान से है और ईमान जन्नत में है और बेहूदा गोई जफ़ा से है और जफ़ा जहन्नम में है। (अहमद, तिर्मिज़ी)

हदीस् (11) हर दीन के लिये एक ख़ुल्क़ होता है यानी आदत व ख़सलत और इस्लाम का ख़ुल्क़ हया है। (इमाम मालिक)

हदीस् (12) ईमान व हया दोनों साथी हैं एक को उठा लिया जाता है तो दूसरा भी उठा लिया जाता है। (बैहक़ी)

हदीस् (13) नेकी अच्छे अख़लाक़ का नाम है और गुनाह वह है जो तेरे दिल में खटके और तुझे यह नापसन्द हो कि लोगों पर इत्तिलाअ् होजाये। (मुस्लिम) यह हुक्म उसका है जिसके सीने को ख़ुदा ने मुनव्वर फ़रमाया है और क़ल्ब बेदार रौशन है फिर भी यह वहाँ है कि दलाइले शरईया से उसकी हुरमत साबित न हो और अगर दलाइले हुरमत पर हो तो न खटकने का लिहाज़ न होगा।

हदीस् (14) तुममें से सबसे ज़्यादा मेरा महबूब वह है जिसके अख़लाक़ सब से अच्छे हों।(बुख़ारी)

हदीस् (15) तुम में अच्छे वह हैं जिनके अख़लाक़ अच्छे हों। (बुख़ारी, मुस्लिम)

हदीस् (16) ईमान में ज़्यादा कामिल वह है जिनके अख़लाक़ अच्छे हों। (अबूदाऊद)

हदीस् (17) ख़ुल्क़े हसन से बेहतर इन्सान को कोई चीज़ नहीं दी गई। (बैहक़ी)

हदीस् (18) क़ियामत के दिन मोमिन की मीज़ान में सबमें भारी जो चीज़ रखी जायेगी वह ख़ुल्क़े हसन है और अल्लाह तआला उसको दोस्त नहीं रखता जो फ़हश गो बदज़बान हो। (तिर्मिज़ी)

हदीस् (19) मोमिन अपने अच्छे अख़्लाक़ की वजह से क़ाइमुल्लैल और साइमुन्नहार का दर्जा पाजाता है। (अबूदाऊद) (रातों को नमाजें पढ़ने वाला, दिन को रोज़ा रखने वाला)

हदीस् (20) मोमिन धोका खाजाने वाला होता है। (यानी अपने करम की वजह से धोका खा जाता है न

कि वे अ़क्ली से) और फ़ाजिर धोका देने वाला लईम यानी बदखुल्क़ होता है।(इमाम अहमद, तिर्मिज़ी)

हदीस् (21) अल्लाह से डर जहाँ भी तू हो और बुराई होजाये तो उसके बाद नेकी कर कि यह उसको मिटादेगी और लोगों के साथ अच्छे अख़्लाक़ से पेश आया कर। (अहमद, तिर्मिज़ी, दारमी)

हदीस् (22) जो शख़्स गुस्से को पी जाता है हालांकि कर डालने पर उसे कुदरत है क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला उसे सबके सामने बुलायेगा और इख़्तियार देदेगा कि जिन हूरों में तू चाहे चला जाये। (तिर्मिज़ी, अबूदाऊद)

हदीस् (22) "मैं इस लिये भेजा गया कि अच्छे अख़्लाक़ की तकमील कर दूँ"। (इमाम मालिक व अहमद)

अच्छों के पास बैठना बुरों से बचना

हदीस् (1) अच्छे और बुरे हम'नशीन की मिसाल जैसे मुश्क का उठाने वाला और भट्टी फूंकने वाला, जो मुश्क लिये हुए है या वह तुझे उसमें से देगा या तू उससे ख़रीद लेगा या तुझे ख़ुश्बू पहुँचेगी और भट्टी फूंकने वाला तेरे कपड़े जलादेगा या तुझे बुरी बू पहुँचेगी।

हदीस् (2) मुसाहबत न करो मगर मोमिन की यानी सिर्फ़ मोमिने कामिल के पास बैठा करो।

हदीस् (3) बड़ों के पास बैठा करो और उ़लमा से बातें पूछा करो और हुकमा से मेल'जोल रखो।

हदीस् (4) जो मुसलमान लोगों से मिलता, जुलता है और उनकी ईज़ाओं पर सब्र करता है वह उस मुसलमान से बेहतर है जो नहीं मिलता, जुलता और उन की तकलीफ़ दिही (तकलीफ़ देने) पर सब्र नहीं करता।

हदीस् (5) अच्छा साथी वह है कि जब तू ख़ुदा को याद करे तो वह तेरी मदद करे और जब तू भूले तो वह याद दिलाये।

हदीस् (6) अच्छा हम'नशीन वह है कि उसके देखने से तुम्हें ख़ुदा याद आये और उसकी गुफ़्तुगू से तुम्हारे अ़मल में ज़्यादती हो और उसका अ़मल तुम्हें आख़िरत की याद दिलाये।

हदीस् (7) "ऐसे के साथ न रहो जो तुम्हारी फ़ज़ीलत का क़ाइल न हो, जैसे तुम उसकी फ़ज़ीलत के क़ाइल हो यानी जो तुम्हें नज़रे हिक़ारत से देखता हो उसके साथ न रहो या यह कि वह अपना हक़ तुम्हारे ज़िम्मे जानता हो और तुम्हारे हक़ का क़ाइल न हो"।

हदीस् (8) हज़रत उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने फ़रमाया ऐसी चीज़ में न पड़ो जो तुम्हारे लिये मुफ़ीद न हो और दुश्मन से अलग रहो और दोस्त से बचते रहो मगर जब कि वह अमीन हो कि अमीन की बराबर कोई नहीं और अमीन वही है जो अल्लाह से डरे और फ़ाजिर के साथ न रहो कि वह तुम्हें फुजूर सिखायेगा और उसके सामने भेद की बात न कहो और अपने काम में उनसे मश्वरा लो जो अल्लाह से डरते हैं।

हदीस् (9) हज़रत अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने फ़रमाया फ़ाजिर से भाई बन्दी न कर कि वह अपने फ़ेअ़्ल को तेरे लिए मुज़य्यन करेगा और यह चाहेगा कि तू भी उस जैसा होजाये और अपनी बद'तरीन ख़स्लत को अच्छा करके दिखायेगा तेरे पास उसका आना, जाना ऐब और नंग है और अहमक़ से भी भाई चारा न कर कि वह अपने को मशक़्क़त में डालदेगा और तुझे कुछ नफ़अ़ नहीं पहुँचायेगा और कभी यह होगा कि तुझे नफ़अ़ पहुँचाना चाहेगा मगर होगा यह कि नुक़सान पहुँचा देगा उसकी ख़ामोशी बोलने से बेहतर है, उसकी दूरी नज़्दीकी से बेहतर है, और मौत ज़िन्दगी से बेहतर, और कज़्ज़ाब से भी भाई चारा न कर कि उसके साथ मुआ़शरत तुझे नफ़अ़ न देगी तेरी बात दूसरों तक पहुँचायेगा और दूसरों की तेरे पास लायेगा और अगर तू सच बोलेगा जब भी वह सच नहीं बोलेगा।

अल्लाह के लिए दोस्ती व दुश्मनी का बयान

हदीस् (1) रूहों का लश्कर मुजतमअ़ (इकट्ठा) था जिनमें वहाँ तआ़रुफ़ था दुनिया में उल्फ़त हुई और वहाँ ना'आश्नाई रही तो यहाँ इख़्तिलाफ़ हुआ।

हदीस् (2) अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन फ़रमायेगा कहाँ हैं जो मेरे जलाल की वजह से आपस

में महब्बत रखते थे आज मैं उनको अपने साये में रखूंगा आज मेरे साये के सिवा कोई साया नहीं।

हदीस् (3) एक शख़्स अपने भाई से मिलने दूसरे क़रया (गाँव या जगह) में गया, अल्लाह तआ़ला ने उसके रास्ते पर एक फ़िरिश्ता बैठा दिया जब वह फ़िरिश्ते के पास आया उसने दरयाफ़्त किया कहाँ का इरादा है कहा इस क़रया में मेरा भाई है उससे मिलने जाता हूँ फ़िरिश्ते ने कहा क्या उस पर तेरा कोई एहसान है जिसे लेने को जाता है उसने कहा नहीं सिर्फ़ यह बात है कि मैं उसे अल्लाह के लिये दोस्त रखता हूँ फ़िरिश्ते ने कहा मुझे अल्लाह ने तेरे पास भेजा है कि तुझे यह ख़बर दूँ कि अल्लाह ने तुझे दोस्त रखा कि तूने अल्लाह के लिये उससे महब्बत की।

हदीस् (4) एक शख़्स ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह उसके मुतअ़ल्लिक़ क्या इरशाद है जो किसी क़ौम से महब्बत रखता है और उनके साथ मिला नहीं यानी उनकी सोहबत हासिल न हुई या उसने उन जैसे अअ़्माल नहीं किये इरशाद फ़रमाया आदमी उसके साथ है जिससे उसे महब्बत है। इस हदीस् से मालूम होता है कि अच्छों से महब्बत अच्छा बना देती है और उस का हश्र अच्छों के साथ होगा और बदों की महब्बत बुरा बना देती है और उसका हश्र उनके साथ होगा।

हदीस् (5) एक शख़्स ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह क़ियामत कब होगी फ़रमाया तूने उसके लिये क्या तैयारी की है उसने अ़र्ज़ की उसके लिये मैंने कोई तैयारी नहीं की सिर्फ़ इतनी बात है कि मैं अल्लाह व रसूल से महब्बत रखता हूँ इरशाद फ़रमाया "तू उनके साथ है जिनसे तुझे महब्बत है" हज़रत अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु कहते हैं कि इस्लाम के बाद मुसलमानों को जितनी इस कलिमे से ख़ुशी हुई ऐसी ख़ुशी मैंने कभी नहीं देखी।

हदीस् (6) अल्लाह तआ़ला इरशाद फ़रमाता है "जो लोग मेरी वजह से आपस में महब्बत रखते हैं और मेरी वजह से एक दूसरे के पास बैठते हैं और आपस में मिलते जुलते हैं और माल ख़र्च करते हैं उनसे मेरी महब्बत वाजिब होगई"।

हदीस् (7) अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया "जो लोग मेरे जलाल की वजह से आपस में महब्बत रखते हैं उनके लिये नूर के मिम्बर होंगे अम्बिया व शोहदा उनपर ग़िब्ता करेंगे"।

हदीस् (8) अल्लाह तआ़ला के कुछ ऐसे बन्दे हैं कि वह न अम्बिया हैं न शोहदा और ख़ुदा के नज़्दीक उनका ऐसा मरतबा होगा कि क़ियामत के दिन अम्बिया और शोहदा उनपर ग़िब्ता करेंगे लोगों ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह इरशाद फ़रमाईये यह कौन लोग हैं फ़रमाया कि यह वह लोग हैं जो महज़ रहमते इलाही की वजह से आपस में महब्बत रखते हैं, न उनके आपस में रिश्ता है न माल का लेना देना है। ख़ुदा की क़सम उनके चेहरे नूर हैं और वह ख़ुद नूर पर हैं उनको ख़ौफ़ नहीं जब कि लोग ख़ौफ़ में होंगे और न वह ग़मगीन होंगे, जब दूसरे ग़म में होंगे और हुज़ूर ने यह आयत पढ़ी "اَلَا اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ" अल्लाह के औलिया पर न ख़ौफ़ है न ग़म करेंगे

हदीस् (9) ईमान की चीज़ों में सब में मज़बूत अल्लाह के बारे में मवालात है और अल्लाह के लिये महब्बत करना और बुग़्ज़ रखना।

हदीस् (10) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "तुम्हें मालूम है अल्लाह के नज़्दीक सबसे ज़्यादा पसन्द कौनसा अ़मल है किसी ने कहा नमाज़ व ज़कात और किसी ने कहा जिहाद हुज़ूर ने फ़रमाया सबसे ज़्यादा अल्लाह को प्यारा अल्लाह के लिये दोस्ती और बुग़्ज़ रखना है"।

हदीस् (11) जब किसी ने किसी से अल्लाह के लिये महब्बत की तो उसने रब अ़ज़्ज़ व जल्ल का इकराम किया।

हदीस् (12) दो शख़्सों ने अल्लाह के लिये बाहम महब्बत की और एक मश्रिक़ में है दूसरा मग़्रिब में क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला दोनों को जमअ़ करदेगा और फ़रमायेगा यही वह है जिससे तूने मेरे लिये महब्बत की थी।

हदीस् (13) जन्नत में याक़ूत के सुतून हैं उनपर ज़बर्जद के बाला ख़ाने हैं वह ऐसे रौशन हैं जैसे

चमकदार सितारे लोगों ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह इनमें कौन रहेगा फ़रमाया वह लोग जो अल्लाह के लिये आपस में महब्बत रखते हैं एक जगह बैठते हैं आपस में मिलते हैं।

ह़दीस़ (14) अल्लाह के लिये महब्बत रखने वाले अ़र्श के गिर्द याक़ूत की कुर्सी पर होंगे।

ह़दीस़ (15) जो किसी से अल्लाह के लिये महब्बत रखे, अल्लाह के लिये दुश्मनी रखे, और अल्लाह के लिये दे, और अल्लाह के लिये मनअ़् करे, उसने अपना ईमान कामिल कर लिया।

ह़दीस़ (16) दो शख़्स़ जब अल्लाह के लिये बाहम महब्बत रखते हैं उनके दरम्यान में जुदाई उस वक़्त होती है कि उनमें से एक ने कोई गुनाह किया। यानी अल्लाह के लिये जो महब्बत हो उसकी पहचान यह है कि अगर एक ने गुनाह किया तो दूसरा उससे जुदा होजाये।

ह़दीस़ (17) अल्लाह तआ़ला ने एक नबी के पास वही भेजी कि फुलाँ ज़ाहिद से कहदो कि तुम्हारा ज़ोहद और दुनिया में बे रग़बती अपने नफ़्स की राहत है और सब से जुदा होकर मुझसे तअ़ल्लुक़ रखना यह तुम्हारी इज़्ज़त है, जो कुछ तुम पर मेरा ह़क़ है उसके मुक़ाबिल क्या अ़मल किया अ़र्ज़ करेगा ऐ रब वह कौनसा अ़मल है इरशाद होगा क्या तुमने मेरी वजह से किसी से दुश्मनी की और मेरे बारे में किसी वली से दोस्ती की।

ह़दीस़ (18)आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है उसे यह देखना चाहिए कि किससे दोस्ती करता है।

ह़दीस़ (19) जब एक दूसरे से भाई चारा करे तो उसका नाम और उसके बाप का नाम पूछले और यह कि वह किस क़बीले से है कि उससे महब्बत ज़्यादा पायदार होगी।

ह़दीस़ (20) जब एक शख़्स़ दूसरे से महब्बत रखे तो उसे ख़बर करदे कि मैं तुझसे महब्बत रखता हूँ।

ह़दीस़ (21) एक शख़्स़ ने हुज़ूर की ख़िदमत में अ़र्ज़ की कि मैं उस शख़्स़ से अल्लाह के वास्ते महब्बत रखता हूँ इरशाद फ़रमाया तुमने उसको इत्तिलाअ़् देदी है अ़र्ज़ की नहीं। इरशाद फ़रमाया उठो उसको इत्तिलाअ़् देदो उसने जाकर ख़बरदार किया उसने कहा जिसके लिये तू मुझसे महब्बत रखता है वह तुझे महबूब बनाले वापस आकर हुज़ूर से कह सुनाया। इरशाद फ़रमाया उसने क्या कहा जो उसने कहा था कह सुनाया फ़रमाया "तू उसके साथ होगा जिससे तूने महब्बत की और तेरे लिये वह है जो तूने क़स्द किया है"।

ह़दीस़ (22) दोस्त से थोड़ी दोस्ती कर अ़जब नहीं कि किसी दिन वह तेरा दुश्मन होजाये और दुश्मन से दुश्मनी थोड़ी कर दूर नहीं कि वह किसी रोज़ तेरा दोस्त होजाये।

ह़जामत बनवाना और नाख़ुन तरशवाना

ह़दीस़ (1) स़ह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "पाँच चीज़ें फ़ित़रत से हैं यानी अम्बिया साबिक़ीन अ़लैहिमुस्सलाम की सुन्नत से हैं। (1)ख़तना करना और (2)मुए ज़ेरे नाफ़ मूंडना और (3)मूंछें कम करना और (4)नाख़ुन तरशवाना और (5)बग़ल के बाल उखेड़ना"।

ह़दीस़ (2) स़ह़ीह़ मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "मूंछे कटवाओ और दाढ़ियाँ लटकाओ मजूसियों की मुख़ालफ़त करो"।

ह़दीस़ (3) स़ह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "मुश्रिकीन की मुख़ालफ़त करो दाढ़ियों को ज़्यादा करो और मूंछों को ख़ूब कम करो"।

ह़दीस़ (4) तिर्मिज़ी ने इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कहते हैं कि नबी करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मूंछ को कम करते थे और ह़ज़रत इब्राहीम ख़लीलुर्रह़मान अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम भी यही करते थे।

ह़दीस़ (5) इमाम अह़मद व तिर्मिज़ी व निसाई ने ज़ैद इब्ने अरक़म रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो मूंछ से नहीं लेगा

वह हम में से नहीं यानी हमारे तरीक़े के ख़िलाफ़ है।

हदीस् (6) सहीह मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो मुए ज़ेरे नाफ़ को न मुंढे और नाखुन न तराशे और मूंछ न काटे वह हम में से नहीं"।

हदीस् (7) तिर्मिज़ी ने ब'रिवायत अम्र बिन शुऐब अन अबीहि अन जद्देही रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दाढ़ी की चौड़ाही और लम्बाई से कुछ लिया करते थे।

हदीस् (8) सहीह मुस्लिम में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं कि मूंछें और नाखुन तरशवाने और बग़ल के बाल उखाड़ने और मुए ज़ेरे नाफ़ मूंडने में हमारे लिये यह वक़्त मुक़र्रर किया गया है कि चालीस दिन से ज़्यादा न छोड़ें यानी चालीस दिन के अन्दर इन कामों को ज़रूर करलें।

हदीस् (9) अबूदाऊद ने ब'रिवायत अम्र बिन शुऐब अन अबीहि जद्देही रिवायत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "सफ़ेद बाल न उखाड़ो क्योंकि वह मुस्लिम का नूर हैं जो शख़्स इस्लाम में बूढ़ा हुआ अल्लाह तआला उसकी वजह से उसके लिये नेकी लिखेगा और ख़ता मिटादेगा और दर्जा बलन्द करेगा"।

हदीस् (10) तिर्मिज़ी व निसाई ने कअ़ब इब्ने मुर्रा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो इस्लाम में बूढ़ा हुआ यह बुढ़ापा उसके लिये क़ियामत के दिन नूर होगा"।

हदीस् (11) इमाम मालिक ने रिवायत की सईद इब्ने मुसय्यब रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते थे कि हज़रत इब्राहीम ख़लीलुर्रहमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले मेहमानों की ज़ियाफ़त की और सबसे पहले ख़तना किया और सबसे पहले मूंछ के बाल तराशे और सबसे पहले सफ़ेद बाल देखा अर्ज़ की ऐ रब यह क्या है परवरदिगार तबारक व तआला ने फ़रमाया ऐ इब्राहीम यह वक़ार है अर्ज़ की ऐ मेरे रब मेरा वक़ार ज़्यादा कर।

हदीस् (12) दैलमी ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स क़स्दन सफ़ेद बाल उखाड़ेगा क़ियामत के दिन वह नेज़ा हो जायेगा जिससे उसको भोंका जायेगा"।

हदीस् (13) तिबरानी ने हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजामत के सिवा गर्दन के बाल मुंडाने से मनअ़ फ़रमाया।

हदीस् (14) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क़ज़अ़ से मनअ़ फ़रमाया। नाफ़ेअ़ से पूछा गया क़ज़अ़ क्या चीज़ है नाफ़ेअ़ ने कहा बच्चे का सर कुछ मूंड दिया जाये कुछ मुतअ़द्दिद जगह छोड़ दिया जाये।

हदीस् (15) सहीह मुस्लिम में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को देखा कि उसका सर कुछ मुंडा हुआ है और कुछ छोड़ दिया गया है हुज़ूर ने लोगों को इससे मनअ़ किया और यह फ़रमाया कि कुल मूंडो या कुल छोड़ दो।

हदीस् (16) अबूदाऊद व निसाई ने अब्दुल्लाह इब्ने जअ़फ़र रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि जब हज़रत जअ़फ़र शहीद हुए तीन दिन तक हुज़ूर ने उनकी आल से कुछ नहीं फ़रमाया फिर तशरीफ़ लाये और यह फ़रमाया कि आज के बाद से मेरे भाई (जअ़फ़र) पर न रोना फिर फ़रमाया कि मेरे भाई के बच्चों को बुलाओ कहते हैं कि हम हुज़ूर की ख़िदमत में पेश किये गये फ़रमाया हज्जाम को बुलाओ हुज़ूर ने हमारे सर मुंडवा दिये।

हदीस् (17) अबूदाऊद ने इब्नुल'हन्ज़लिया रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ख़ुरैम असदी बहुत अच्छा शख़्स है अगर उसके सर के बाल बड़े न होते और तहबन्द नीचा न होता। जब यह ख़बर ख़ुरैम रदियल्लाहु तआला अन्हु को पहुँची तो छुर

लेकर बाल काट डाले और कानों तक कर लिये और तहबन्द को आधी पिन्डली तक ऊँचा कर लिया।

हदीस (18) अबूदाऊद ने अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि कहते हैं मेरे गेसू थे। मेरी माँ ने कहा कि उनको नहीं कटवाऊंगी क्योंकि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम उन्हें पकड़ते और खींचते थे या'नी हुज़ूर का दस्ते अक़दस उन बालों को लगा है उस वजह से ब'क़स्द तबर्रुक छोड़ रखे थे कटवाती न थीं।

हदीस (19) निसाई ने ह़ज़रत अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने औरत को सर मुंडाने से मनअ़ फ़रमाया है।

हदीस (20) स़ह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि नबी करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को जिस चीज़ के मुतअ़ल्लिक़ कोई हुक्म न होता उसमें अहले किताब की मुवाफ़क़त पसन्द थी (क्योंकि हो सकता है कि वह जो कुछ करते हों वह अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम का त़रीक़ा हो) और अहले किताब बाल सीधे रखते थे और मुश्रिकीन मांग निकाला करते थे लिहाज़ा नबी स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने बाल सीधे रखे या'नी मांग नहीं निकाली फिर बाद में हुज़ूर ने मांग निकाली (इससे मा'लूम हुआ कि हुज़ूर को इस मुआ़मले में अहले किताब की मुख़ालफ़त का हुक्म हुआ)।

मसाइले फ़िक़्हिया

जुमा के दिन नाख़ुन तरशवाना मुस्तह़ब है हाँ अगर ज़्यादा बढ़गये हों तो जुमा का इन्तिज़ार न करे कि नाख़ुन बड़ा होना अच्छा नहीं क्योंकि नाख़ुनों का बड़ा होना रिज़्क़ की तंगी का सबब है एक ह़दीसे ज़ईफ़ में है कि हुज़ूर अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम जुमा के दिन नमाज़ के लिये जाने से पहले मूंछे कतरवाते और नाख़ुन तरशवाते एक दूसरी ह़दीस में है कि जो जुमा के दिन नाख़ुन तरशवाये अल्लाह तआ़ला उसको दूसरे जुमा तक बलाओं से मह़फ़ूज़ रखेगा और तीन दिन ज़ाइद या'नी दस दिन तक एक ह़दीस में है जो हफ़्ता के दिन नाख़ुन तरशवाये उससे बीमारी निकल जायेगी और शिफ़ा दाख़िल होगी और जो इतवार के दिन तरशवाये फ़ाक़ा निकलेगा और तवंगरी आयेगी और जो पीर के दिन तरशवाये जुनून जायेगा और सेह़त आयेगी और जो मंगल के दिन तरशवाये मर्ज़ जायेगा और शिफ़ा आयेगी और जो बुध के दिन तरशवाये वसवास व ख़ौफ़ निकलेगा और अमन व शिफ़ा आयेगी और जो जुमेरात के दिन तरशवाये जुज़ाम जाये और आ़फ़ियत आये और जो जुमा के दिन तरशवाये रह़मत आयेगी और गुनाह जायेंगे यह ह़दीसें अगर्चे ज़ईफ़ हैं मगर फ़ज़ाइल में क़ाबिले एअ़तिबार हैं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअला.1:– ह़ज़रत अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से यह मन्क़ूल है कि पहले दाहिने हाथ के नाख़ुनों को इस त़रह़ तरशवाये सबसे पहले छुंगलिया फिर बीच वाली फिर अंगूठा फिर मंझली फिर कलिमे की उंगली और बायें हाथ में पहले अंगूठा फिर बीच वाली फिर छंगुलिया फिर कलिमे की उंगली फिर मंझली या'नी दाहिने हाथ में छंगुलिया से शुरूअ़ करे और बायें हाथ में अंगूठे से और एक उंगली छोड़कर और बाज़ में दो छोड़कर कटवाये एक रिवायत में आया है कि "इस त़रह़ करने से कभी आशोब नहीं होगा"। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअला.2:– नाख़ुन तराशने की यह तर्तीब जो मज़कूर हुई इसमें कुछ पेचीदगी है ख़ुसूसन अ़वाम को इसकी निगहदाश्त दुश्वार है लिहाज़ा एक दूसरा त़रीक़ा है जो आसान है और वह भी हुज़ूर अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से मरवी है वह यह है कि दाहिनी हाथ की कलिमे की उंगली से शुरूअ़ करे और छंगुलिया पर ख़त्म करे फिर बायें की छंगुलिया से शुरूअ़ करके अंगूठे पर ख़त्म करे इसके बाद दाहिने हाथ के अंगूठे का नाख़ुन तरशवाये इस सूरत में दाहिने ही हाथ से शुरूअ़ हुआ और दाहिने पर ख़त्म भी हुआ। (दुर्रेमुख़्तार) आ'ला'ह़ज़रत क़िब्ला क़ुद्दिस सिर्रुहु का भी यही मअ़मूल था और फ़क़ीर भी इसी पर अ़मल करता है।

मसअला.3:– पाँव के नाख़ुन तरशवाने में कोई तर्तीब मन्क़ूल नहीं बेहतर यह है कि पाँवों की

उंगलियों में ख़िलाल करने की जो तर्तीब है उसी तर्तीब से नाखुन तरशवाये यानी दाहिने पाँव की छंगुलिया से शुरूअ् करके अंगूठे पर ख़त्म करे फिर बायें पाँव के अंगूठे से शुरूअ् करके छंगुलिया पर ख़त्म करे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– दांत से नाखुन न खुटकना चाहिए कि मकरूह है और उसमें मर्ज़े'बर्स मआज़ल्लाह पैदा होने का अंदेशा है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– मुजाहिद जब दारुलहर्ब में हों तो उनके लिये मुस्तहब यह है कि नाखुन और मूंछें बड़ी रखें कि उनकी यह शक्ले मुहीब (डरावनी शक्ल) देखकर कुफ़्फ़ार पर रोब तारी हो। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– हर जुमा को अगर नाखुन न तरशवाये तो पन्द्रहवें दिन तरशवाये और उसकी इन्तिहाई मुद्दत चीलीस दिन है उसके बाद न तरशवाना ममनूअ् है यही हुक्म मूंछें तरशवाने और मुए ज़ेरे नाफ़ दूर करने और बग़ल के बाल साफ़ करने का है। चालीस दिन से ज़्यादा होना मनअ् है सहीह मुस्लिम की हदीस् अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से है कहते हैं कि नाखुन तरशवाने और मूंछ काटने और बग़ल के बाल लेने में हमारे लिये यह मीआ़द मुक़र्रर की गई थी कि चालीस दिन से ज़्यादा न छोड़े रखें।

मसअ्ला.7:– मुए ज़ेरे नाफ़ दूर करना सुन्नत है हर हफ़्ता में नहाना, बदन को साफ़ सुथरा रखना और मुए ज़ेरे नाफ़ दूर करना मुस्तहब है और बेहतर जुमा का दिन है और पन्द्रहवें रोज़ करना भी जाइज़ है और चालीस रोज़ से ज़ाइद गुज़ार देना मकरूह व ममनूअ्। मुए ज़ेरे नाफ़ उस्तुरे से मूंडना चाहिए और उसको नाफ़ के नीचे से शुरूअ् करना चाहिए और अगर मूंडने की जगह हरताल चूना या इस ज़माने में बाल उड़ाने का साबुन चला है उससे दूर करे यह भी जाइज़ है औरत को यह बाल उखेड़ डालना सुन्नत है। (दुर्रेमुख़्तार, आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– बग़ल के बालों का उखाड़ना सुन्नत है और मूंडना भी जाइज़ है। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.9:– बेहतर यह है कि गले के बाल न मुंडवाये उन्हें छोड़ रखे। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.10:– नाक के बाल न उखाड़े कि उससे मर्ज़े'आकिला पैदा होने का डर है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– जनाबत की हालत में न बाल मुंडवाये और न नाखुन तरशवाये कि यह मकरूह है(आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– भों के बाल अगर बड़े होगये तो उनको तरशवा सकते हैं चेहरे के बाल लेना भी जाइज़ है जिसको ख़त बनवाना कहते हैं सीना और पीठ के बाल मूंडना या कतरवाना अच्छा नहीं। हाथ, पाँव, पेट पर से बाल दूर कर सकते हैं। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.13:– बच्ची के (यानी वह कुछ बाल जो नीचे के होंट और ठोंड़ी के बीच में होते हैं।(मुहम्मद अमीनुल कादरी)) अग़ल बग़ल के बाल मुंडाना या उखेड़ना बिदअ़त है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– मूंछों को कम करना सुन्नत है इतनी कम करे कि अबरू की मिस्ल होजाये यानी इतनी कम हो कि ऊपर वाले होंट के बालाई हिस्से से न लटकें और एक रिवायत में मुंडाना आया है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.15:– मूंछों के दोनों किनारों के बाल बड़े बड़े हों तो हरज नहीं बाज़ सल्फ़ की मूंछें इस किस्म की थीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– दाढ़ी बढ़ाना अम्बिया'किराम की सुन्नत से है मुंडाना या एक मुश्त से कम करना हराम है हाँ एक मुश्त से ज़ाइद होजाये तो जितनी ज़्यादा है उसको कटवा सकते हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– दाढ़ी चढ़ाना या उसमें गिरह लगाना जिस तरह सिख वग़ैरा करते हैं ना'जाइज़ है इस ज़माने में दाढ़ी मूंछ में तरह तरह की तराश, ख़राश की जाती है बाज़ दाढ़ी, मूंछ का बिल्कुल सफ़ाया करा देते हैं बाज़ लोग मूंछों की दोनों जानिब मूंड'कर बीच में ज़रासी बाक़ी रखते हैं जैसे मालूम होता है कि नाक के नीचे दो मक्खियाँ बैठी हैं किसी की दाढ़ी फ्रेंच कट और किसी की कर्ज़न फ़ैशन होती है यह जो कुछ होरहा है सब नसारा के इत्तिबाअ् और तक़लीद (उनके तरीके पर चलने) में हो रहा है मुसलमानों के जज़बाते ईमानी इतने ज़्यादा कमज़ोर होगये कि वह अपने वक़ार

व शिआ़र को खोते हुए चले जाते हैं उनको इस बात का एह़सास नहीं होता कि हम क्या थे और क्या होगये जब उनकी बेहिसी इस दर्जा बढ़गई और हमिय्यत व ग़ैरते ईमानी यहाँ तक कम होगई कि दसूरे कामों में जज़्ब होते जाते हैं पा'मर्दी और इस्तिक़लाल (मजबूत इरादे) के साथ इस्लामी रिवायात व अह़काम की पाबन्दी नहीं करते तो उनसे क्या उम्मीद होसकती है कि इस्लामी अह़काम का एह़तिराम करायेंगे और हुक़ूक़े मुस्लिमीन की हिफ़ाज़त करेंगे मुस्लिम के हर फ़र्द को तअ़्लीमाते इस्लाम का मुजस्समा होना चाहिए अख़लाक़ सलफ़े स़ालेहीन का नमूना होना चाहिए इस्लामी शिआ़र की हिफ़ाज़त करनी चाहिए ताकि दूसरी क़ौमों पर उसका असर पड़े।

मसअ्ला.18:– बाज़ दाढ़ी मुन्डे यहाँ तक बेबाक (निडर) होते हैं कि वह दाढ़ी का मज़ाक़ उड़ाते हैं शरीअ़त के मुताबिक़ दाढ़ी रखने पर फब्तियाँ करते हैं दाढ़ी मुंडाना ह़राम, गुनाह था मगर यह तो सोचो यह तुमने किस चीज़ का मज़ाक़ उड़ाया किस की तौहीन व तज़लील की। इस्लाम की हर बात अटल है और उसके तमाम उस़ूल व फ़ुरूअ़् मज़बूत हैं उनमें किसी बात को बुरा बताना इस्लाम को ऐब लगाना है तुम ख़ुद सोचो जो कुछ उसका नतीजा है वह तुम पर वाज़ेह़ होजायेगा किसी से पूछने की ज़रूरत न पड़ेगी।

मसअ्ला.19:– मर्द को इख़्तियार है कि सर के बाल मुंडाये या बढ़ाये और मांग निकाले।(रद्दुल'मुह़तार)

मसअ्ला.20:– हुज़ूर अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से दोनों चीज़ें स़ाबित हैं अगर्चे मुंडाना सिर्फ़ एह़राम से बाहर होने के वक़्त स़ाबित है दीगर औक़ात में मुंडाना स़ाबित नहीं। हाँ बाज़ स़ह़ाबा से मुंडाना स़ाबित है मस़लन ह़ज़रत मौला अ़ली रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु बत़ौर आ़दत मुंडाया करते थे। हुज़ूर अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की मुए मुबारक कभी निस्फ़ कान तक कभी कान की लौ तक होते और जब बढ़ जाते तो शाना(ए मुबारक से छूजाते और हुज़ूर बीच सर में मांग निकालते।

मसअ्ला.21:– मर्द को यह जाइज़ नहीं कि औरतों की त़रह़ बाल बढ़ाये बाज़ सूफ़ी बनने वाले लम्बी, लम्बी लटें बढ़ा लेते हैं जो उनके सीने पर सांप की त़रह़ लहराती हैं और बाज़ चोटियाँ गूँधते हैं या जूड़े बना लेते हैं यह सब ना'जाइज़ काम और ख़िलाफ़े शरअ़् हैं तस़व्वुफ़ बालों के बढ़ाने और रंगे हुए कपड़े पहनने का नाम नहीं बल्कि हुज़ूर अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की पूरी पैरवी करने और ख़्वाहिशाते नफ़्स को मिटाने का नाम है।

मसअ्ला.22:– सफ़ेद बालों को उखाड़ना, कैंची से चुनकर निकलवाना मकरूह है हाँ मुजाहिद अगर इस नियत से ऐसा करे कि कुफ़्फ़ार पर उसका रोअ़्ब त़ारी हो तो जाइज़ है।(आ़लमगीरी)

मसअ्ला.23:– बीच सर को मुंडवादेना और बाक़ी जगह को छोड़ देना जैसाकि एक ज़माने में पान बनवाने का रिवाज था यह जाइज़ है और ह़दीस में जो क़ज़अ़् (बालों को कुछ मूंडना कुछ छोड़देना) की मुमानअ़त आई है उसके यह मअ़्ना हैं कि मुतअ़द्दिद जगह सर के बाल मूंडना और जगह जगह बाक़ी छोड़ना जिसको गुल बनाना कहते हैं। (आ़लमगीरी, रद्दुल'मुह़तार)

मसअ्ला.24:– बुख़ारी शरीफ़ से भी यही ज़ाहिर है पान बनवाने को क़ज़अ़् समझना ग़लती है हाँ बेहतर यही है कि सर के बाल मुंडाये तो कुल मुंडाडाले यह नहीं कि कुछ मूंडे जायें और कुछ छोड़ दिये जायें।

मसअ्ला.25:– बाज़ देहातियों को देखा जाता है कि वह पेशानी को ख़त़ की त़रह़ बनवाते हैं और दोनों जानिब नोकें निकलवाते हैं या और त़रह़ से बनवाते हैं यह सुन्नत और सलफ़ के त़रीक़े के ख़िलाफ़ है ऐसा न करें।

मसअ्ला.26:– गर्दन के बाल मूंडना मकरूह है (आ़लमगीरी) यानी जब सर के बाल न मुंडायें सिर्फ़ गर्दन ही के मुंडायें जैसाकि बहुत से लोग ख़त़ बनवाने में गर्दन के बाल भी मुंडाते हैं और अगर पूरे सर के बाल मुंडा दिये तो उसके साथ गर्दन के बाल भी मुंडा दिये जायें।

मसअ्ला.27:– आजकल सर पर गुफ़्फ़ा रखने का रिवाज बहुत ज़्यादा होगया है कि सब त़रफ़ से बाल निहायत छोटे छोटे और बीच में बड़े बड़े बाल होते हैं यह भी नस़ारा की तक़लीद में हैं और ना'जाइज़ है

फिर उन बालों में बाज़ दाहिने या बायें जानिब मांग निकालते हैं सुन्नत के ख़िलाफ़ है सुन्नत यह है कि बाल हों तो बीच में मांग निकाली जाये और बाज़ मांग नहीं निकालते सीधे रखते हैं यह भी सुन्नते मन्सूख़ा (जो ख़त्म करदी गई) और यहूद व नसारा का तरीक़ा है जैसाकि अहादीस में मज़कूर है।

मसअ्ला.28:– एक तरीक़ा यह भी है कि न पूरे बाल रखते हैं न मुंडाते हैं बल्कि कैंची या मशीन से बाल कतरवाते हैं यह ना'जाइज़ नहीं मगर अफ़ज़ल व बेहतर यही है कि मुंडाये या बाल रखे।

मसअ्ला.29:– औरत को सर के बाल कटवाने जैसाकि इस ज़माने में नसरानी औरतों ने कटवाने शुरूअ् कर दिये ना'जाइज़ व गुनाह है, और उस पर लअ्नत आई, शौहर ने ऐसा करने को कहा जब भी यही हुक्म है कि औरत ऐसा करने में गुनहागार होगी क्योंकि शरीअत की ना'फ़रमानी करने में किसी का कहना नहीं माना जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार) सुना है कि बाज़ मुसलमान घरों में भी औरतों के बाल कटवाने की बला आगई है ऐसी पर'कैंच औरतें देखने मे लौन्डा मालूम होती हैं। और हदीस् में फ़रमाया कि "जो औरत मर्दाना हैअ्त (मर्दों की तरह हालत बनाना) में हो उसपर अल्लाह की लअ्नत है जब बाल कटवाना औरत के लिये ना'जाइज़ है तो मुंडाना बदरजा औला ना'जाइज़ है कि यह भी हिन्दुस्तान के मुश्रिकीन का तरीक़ा है कि जब उनके यहाँ कोई मरजाता है या तीर्थ को जाती हैं तो बाल मुंडादेती हैं।

मसअ्ला.30:– तरशवाने या मुंडाने में जो बाल निकले उन्हें दफ़न करदे, इसी तरह नाख़ुन का तराशा पाख़ाना या ग़ुस्ल ख़ाना में उन्हें डालदेना मकरूह है कि इस से बीमारी पैदा होती है। (आलमगीरी) मुए'ज़ेरे नाफ़ का ऐसी जगह डाल देना कि दूसरों की नज़र पड़े ना'जाइज़ है।

मसअ्ला.31:– चार चीज़ों के मुतअ़ल्लिक़ हुक्म यह है कि दफ़्न करदी जायें बाल, नाख़ुन, हैज़ का लत्ता, ख़ून। (आलमगीरी)

मसअ्ला.32:– सर में जुयें भरी हैं और बाल मुंडादिये उन्हें दफ़्न करदे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.33:– मजनूना (पागल औरत) के सर में बीमारी होगई मस्लन कस्रत से (अधिकाधिक) जूयें पड़गई और उसका कोई वली नहीं तो अगर किसी ने उसका सर मुंडा दिया उसने एहसान किया, मगर उसके सर में कुछ बाल छोड़दे ताकि मालूम होसके कि औरत है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– सफ़ेद बाल उखेड़ने में हरज नहीं जबकि ब'क़स्द ज़ीनत ऐसा न करे। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार) और ज़ाहिर यही है कि जो लोग ऐसा करते हैं वह ज़ीनत ही के इरादे से करते हैं ताकि यह सपेदी दूसरों पर ज़ाहिर न हो और जवान मालूम हों, इसी वजह से हदीस् में इससे मुमानअ़त आई और यह भी ज़ाहिर है कि दाढ़ी में इस क़िस्म का तसर्रुफ़ ज़्यादा ममनूअ् होगा।

ख़त्ना का बयान

ख़त्ना सुन्नत है और यह शिआ़रे इस्लाम में है कि मुस्लिम व ग़ैर मुस्लिम में इससे इम्तियाज़ होता है इसी लिये उर्फ़े आ़म में इसको मुसलमानी भी कहते हैं

सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "हज़रत इब्राहीम ख़लीहुर्रहमान अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना ख़त्ना किया उस वक़्त उनकी उम्र शरीफ़ अस्सी बरस की थी।

मसअ्ला.1:– ख़त्ना की मुद्दत सात साल से बारह साल की उम्र तक है और बाज़ उ़लमा ने यह फ़रमाया कि विलादत से सातवें दिन के बाद ख़त्ना करना जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– लड़के की ख़त्ना कराई गई मगर पूरी खाल नहीं कटी, अगर आधे से ज़ाइद कट गई है तो ख़त्ना होगई बाक़ी को काटना ज़रूरी नहीं और अगर निस्फ़ या निस्फ़ से ज़ाइद बाक़ी रहगई तो नहीं हुई या'नी फिर से होनी चाहिए। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– बच्चा पैदा ही ऐसा हुआ कि ख़त्ना में जो खाल काटी जाती है वह उसमें नहीं है। ख़त्ना की हाजत नहीं और अगर कुछ खाल है जिसको खींचा जा सकता है मगर उसे सख़्त तकलीफ़ होगी और हशफ़ा (सुपारी) ज़ाहिर है तो हज्जामों को दिखाया जाये अगर वह कहदें कि नहीं

होसकती तो छोड़दिया जाये बच्चे को ख़्वाह म'ख़्वाह तकलीफ़ न दीजाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– सुना जाता है कि जिस बच्चे में पैदायशी ख़त्ना की खाल नहीं होती उसके बाप वग़ैरा औलिया उस रस्म की अदा के लिये अइज़्ज़ा अक़रबा (दोस्त व रिश्तेदार वग़ैरा) को बुलाते हैं और ख़त्ना के क़ाइम मक़ाम पान की गिलोरी काटी जाती है गोया इससे ख़त्ना की रस्म अदा कीगई यह एक बेकार हरकत है जिसका कुछ महसल व फ़ायदा नहीं।

मसअ्ला.5:– बूढ़ा आदमी मुशर्रफ़'ब'इस्लाम हुआ जिसमें ख़त्ना कराने की ताक़त नहीं तो ख़त्ना कराने की ह़ाजत नहीं। बालिग़ शख़्स मुशर्रफ़'ब'इस्लाम हुआ अगर वह खुद ही अपनी मुसलमानी कर सकता है तो अपने हाथ से करले वरना नहीं, हाँ अगर मुम्किन हो कि कोई औ़रत जो ख़त्ना करना जानती हो उससे निकाह़ करे तो निकाह़ करके उससे ख़त्ना कराये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– ख़त्ना होचुकी है मगर वह खाल फिर बढ़गई और ह़शफ़ा को छुपालिया तो दोबारा ख़त्ना की जाये और इतनी ज़्यादा न बढ़ी हो तो नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– ख़त्ना कराना बाप का काम है वह न हो तो उसका वसी उसके बा'द दादा फिर उसके वसी का मरतबा है। मामूं और चचा या उनके वसी का यह काम नहीं हाँ अगर बच्चा उनकी तर्बियत व अयाल में हो तो कर सकते हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– औरतों के कान छिदवाने में ह़रज नहीं और लड़कियों के कान छिदवाने में भी ह़रज नहीं इस लिये कि ज़मानाए रिसालत में कान छिदते थे और इस पर इन्कार नहीं हुआ। (आलमगीरी) बल्कि कान छिदवाने का सिल्सिला अब तक बराबर जारी है सिर्फ़ बाज़ लोगों ने नसरानी औरतों की तक़लीद में मौकूफ़ कर दिया जिनका एअ्तिबार नहीं।

मसअ्ला.9:– इन्सान को ख़स्सी करना ह़राम है उसी त़रह हिजड़ा करना भी, घोड़े को ख़स्सी करने में इख़्तिलाफ़ है सह़ीह़ यह है कि जाइज़ है दूसरे जानवरों के ख़स्सी करने में अगर फ़ायदा हो मस्लन उसका गोश्त अच्छा होगा या ख़स्सी न करने में शरारत करेगा लोगों को ईज़ा पहुँचायेगा उन्ही मसालेह़ (मसलिहतों) की बिना पर बकरे और बैल वग़ैरा को ख़स्सी किया जाता है यह जाइज़ है और अगर मन्फ़अ़त या नुक़सान को दूर करना, दोनों बातें न हों तो ख़स्सी करना ह़राम है।

मसअ्ला.10:– जिस ग़ुलाम को ख़स्सी किया गया हो उससे ख़िदमत लेना ममनूअ़ है जैसाकि उमरा व सलातीन के यहाँ इस क़िस्म के लोगों से ख़िदमत ली जाती है जिनको ख़्वाजा'सरा कहते हैं, उनसे ख़िदमत लेने में यह ख़राबी होती है कि दूसरे लोग इसकी वजह से ख़स्सी करने की जुरअत करते हैं और इस ह़राम फ़ेल का इर्तिकाब करते हैं और अगर ऐसे ग़ुलाम से काम ही न लिया जाये तो ख़स्सी करने का सिल्सिला ही मुन्क़तेअ़ (ख़त्म) होजायेगा। (हिदाया)

मसअ्ला.11:– घोड़ी को गधे से गाभन करना जिससे ख़च्चर पैदा होता है इसमें ह़रज नहीं ह़दीस सह़ीह़ में है कि हुज़ूर अक़्दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की सवारी का जानवर बग़ला–ए –बैज़ा था और अगर यह फ़ेअ़्ल ना'जाइज़ होता तो हुज़ूर ऐसे जानवर को अपनी सवारी में न रखते। (हिदाया)

ज़ीनत का बयान

ह़दीस (1) सह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में है ह़ज़रत आ़इशा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से मरवी कहती हैं हुज़ूर को मैं निहायत उ़मदा ख़ुश्बू लगाती थी यहाँ तक कि उसकी चमक हुज़ूर के सर मुबारक और दाढ़ी में पाती थी।

ह़दीस (2) सह़ीह़ मुस्लिम में नाफ़ेअ़ से मरवी कहते हैं कि इब्ने उ़मर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा कभी ख़ालिस ऊ़द (अगर) की धूनी लेते यानी उसके साथ किसी दूसरी चीज़ की आमेज़िश नहीं करते और कभी ऊ़द के साथ काफ़ूर मिलाकर धूनी लेते और यह कहते कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम भी इस त़रह धूनी लिया करते थे।

ह़दीस (3) अबूदाऊद ने अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु

तआला अ़लैहि वसल्लम के पास एक क़िस्म की ख़ुश्बू थी जिसको इस्तेअ़माल फ़रमाया करते थे।

ह़दीस़ (4) शरह़ सुन्ना में अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम कस्रत से सर में तेल डालते और दाढ़ी में कंघा करते।

ह़दीस़ (5) अबूदाऊद ने अबूहुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसके बाल हों उनका इकराम करे या़नी उनको धोये तेल लगाये कंघा करे।

ह़दीस़ (6) इमाम मालिक ने अबूक़तादा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं मेरे सर पर पूरे बाल थे मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से अ़र्ज़ की इनको कंघा किया करूँ हुज़ूर ने फ़रमाया हाँ और उनका इकराम करो लिहाज़ा अबू क़तादा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु हुज़ूर के फ़रमाने की वजह से कभी दिन में दो मरतबा तेल लगाया करते।

ह़दीस़ (7) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व निसाई ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने मुग़फ़्फ़ल रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने रोज़ रोज़ कंघा करने से मनअ़ फ़रमाया (यह नही तन्ज़ीही (सख़्ती से न रोकना) है और मक़सद यह है कि मर्द को बनाव श्रंगार में मशग़ूल न रहना चाहिए)।

ह़दीस़ (8) इमाम मालिक ने अ़ता इब्ने यसार से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फ़रमा थे। एक शख़्स़ आया जिसके सर और दाढ़ी के बाल बिखरे हुए थे हुज़ूर ने उसकी त़रफ़ इशारा किया गोया बालों के दुरुस्त करने का हुक्म देते हैं वह शख़्स़ दुरुस्त करके वापस आया, हुज़ूर ने फ़रमाया क्या यह उससे बेहतर नहीं है कि कोई शख़्स़ बालों को इस त़रह बिखेर कर आता है गोया वह शैत़ान है।

ह़दीस़ (9) तिर्मिज़ी ने इब्ने अ़ब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि नबी स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इस्मद पत्थर का सुर्मा लगाओ कि वह निगाह को जिला (रौशनी) देता है और पलक के बाल उगाता है और हुज़ूर के यहाँ सुर्मा'दानी थी जिससे हर शब में सुर्मा लगाते थे तीन सलाईयाँ इस आँख में और तीन इसमें।

ह़दीस़ (10) अबूदाऊद व निसाई ने करीमा बिन्ते हुमाम से रिवायत की कहते हैं मैंने ह़ज़रत आइशा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से मेंहदी लगाने के मुतअ़ल्लिक़ पूछा उन्होंने फ़रमाया कि इसमें कुछ ह़रज नहीं लेकिन मैं खुद मेहंदी लगाने को ना'पसन्द करती हूँ क्योंकि मेरे ह़बीब स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को इसकी बू ना'पसन्द थी।

ह़दीस़ (11) अबूदाऊद ने ह़ज़रत आइशा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की कि हिन्द बिन्ते उ़तबा ने अ़र्ज़ की या नबी'यल्लाह मुझे बैअ़त कर लीजिये फ़रमाया "मैं तुझे बैअ़त न करूँगा जब तक तू अपनी हथेलियों को न बदलदे (यानी मेहन्दी लगाकर उनका रंग न बदल ले) तेरे हाथ गोया दरिन्दे के हाथ मा़लूम हो रहे हैं"। (या़नी औरतों को चाहिए कि हाथों को रंगीन कर लिया करें)

ह़दीस़ (12) अबूदाऊद व निसाई ने ह़ज़रत आइशा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की कहते हैं कि एक औरत के हाथ में किताब थी उसने पर्दे के पीछे से रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की त़रफ़ इशारा किया या़नी हुज़ूर को देना चाहा हुज़ूर ने अपना हाथ खींच लिया और यह फ़रमाया कि "अगर औरत होती तो नाखुन को मेहन्दी से रंगे होती"।

ह़दीस़ (13) अबूदाऊद ने अबूहुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के पास एक मुख़न्नस़ ह़ाज़िर लाया गया जिसने अपने हाथ और पाँव मेहन्दी से रंगे थे इरशाद फ़रमाया उसका क्या ह़ाल है (या़नी इसने क्यों मेहन्दी लगाई है) लोगों ने अ़र्ज़ की यह औरतों से तशब्बोह करता है (औरतों की त़रह रहता है) हुज़ूर ने हुक्म फ़रमाया उसको शहर बदर कर दिया गया, मदीने से निकाल कर नक़ीअ़ को भेजदिया गया।

ह़दीस़ (14) तिर्मिज़ी ने सईद इब्नुलमुसय्यब से रिवायत की कहते हैं कि अल्लाह त़य्इब है त़य्इब

यानी खुश्बू को दोस्त रखता है, सुथरा है सुथराई को दोस्त रखता है, करीम है करम को दोस्त रखता है, जव्वाद है जूद को दोस्त रखता है। लिहाज़ा अपने सेहन को सुथरा रखो, यहूदियों के साथ मुशाबहत न करो।

हदीस (15) सहीह मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिसके दिल में ज़र्रा बराबर तकब्बुर होगा जन्नत में नहीं जायेगा एक शख़्स ने अर्ज़ की कि किसी को यह पसन्द होता है कि कपड़े अच्छे हों जूते अच्छे हों (यानी यह बात भी तकब्बुर है या नहीं) फ़रमाया अल्लाह जमील है जमाल को दोस्त रखता है। तकब्बुर नाम है हक़ से सर'कशी करने और लोगों को हक़ीर जानने का।

हदीस (16) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "यहूद व नसारा ख़िज़ाब नहीं करते तुम उनकी मुख़ालफ़त करो" यानी ख़िज़ाब करो।

हदीस (17) सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि फ़तहे मक्का के दिन अबूक़ुहाफ़ा (हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रदियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद) लाये गये और उनका सर और दाढ़ी सग़ामा (यह एक घास है) की तरह सफ़ेद थी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया उस को किसी चीज़ से बदलदो (यानी ख़िज़ाब लगाओ) और स्याही से बचो यानी स्याह ख़िज़ाब न लगाना।

हदीस (18) अबूदाऊद व निसाई ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि आख़िर ज़माना में कुछ लोग होंगे जो स्याह ख़िज़ाब करेंगे जैसे कबूतर के पोटे वह लोग जन्नत की खुश्बू नहीं पायेंगे।

हदीस (19) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व निसाई ने अबूज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "सबसे अच्छी जिससे सफ़ेद बालों का रंग बदला जाये मेहन्दी या कतम है" यानी मेहन्दी लगाई जाये या कतम।

हदीस (20) अबूदाऊद ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने एक शख़्स गुज़रा जिसने मेहन्दी का ख़िज़ाब किया था इरशाद फ़रमाया यह खूब अच्छा है फिर एक दूसरा शख़्स गुज़रा जिसने मेहन्दी और कतम का ख़िज़ाब किया था फ़रमाया यह उससे भी अच्छा है फिर एक तीसरा शख़्स गुज़रा जिसने ज़र्द ख़िज़ाब किया था। फ़रमाया "यह उन सबसे अच्छा है"।

हदीस (21) इब्नुन्नज्जार ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "यह सबसे पहले मेहन्दी और कतम का ख़िज़ाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया और सबसे पहले स्याह ख़िज़ाब फ़िरऔन ने किया"।

हदीस (22) तिबरानी ने कबीर में और हाकिम ने मुस्तदरक में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि मोमिन का ख़िज़ाब ज़र्दी है और मुस्लिम का ख़िज़ाब सुर्ख़ी है और काफ़िर का ख़िज़ाब स्याह है।

हदीस (23) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अल्लाह की लअ़नत उस औरत पर जो बाल मिलाये या दूसरी से बाल मिलवाये, और गोदने वाली, और गुदवाने वाली पर।

हदीस (24) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी उन्होंने फ़रमाया कि अल्लाह की लअ़नत गोदने वालियों पर और गुदवाने वालियों पर और बाल नोचने वालियों पर यानी जो औरत भौं के बाल नोचकर अबरू को खुबसूरत बनाती हैं उसपर लअ़नत और खुबसूरती के लिये दांत रेतने वालियों पर यानी जो औरतें दांतों को रेत कर खुबसूरत बनाती हैं और अल्लाह तआला की पैदा की हुई चीज़ को बदल डालती हैं। एक औरत ने अब्दुल्लाह

इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास हाज़िर होकर यह कहा कि मुझे ख़बर मिली है कि आप ने फुलाँ फुलाँ किस्म की औरतों पर लअ्नत की है उन्होंने फ़रमाया मैं क्यों न लअ्नत करूँ उनपर जिन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लअ्नत की और उसपर जो किताबुल्लाह में (मलऊन) है उसने कहा मैंने किताबुल्लाह पढ़ी है मुझे तो उसमें यह चीज़ नहीं मिली फ़रमाया तूने (ग़ौर से) पढ़ा होता तो ज़रूर इसको पाया होता क्या तूने यह नहीं पढ़ा।

﴿وَمَا اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا﴾

"यानी रसूल जो कुछ तुम्हें दें उसे लो और जिस चीज से मनअ करदें उससे बाज आजाओ"।

उस औरत ने कहा हाँ यह पढ़ा है अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने फरमाया कि हुज़ूर ने उससे मनअ फ़रमाया है एक रिवायत में है कि उसके बाद उस औरत ने यह कहा कि उनमें की बाज बातें तो आप की बीवी में भी हैं अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद ने फ़रमाया अन्दर जाकर देखो वह मकान में गई फिर आई तो आपने फ़रमाया क्या देखा उसने कहा कुछ नहीं देखा अब्दुल्लाह ने फ़रमाया अगर उसमें यह बात होती तो मेरे साथ नहीं रहती यानी ऐसी औरत मेरे घर में नहीं रह सकती है।

हदीस् (25) सहीह बुख़ारी में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "नज़रे बद हक़ है यानी नज़र लगना सहीह है ऐसा होता है और गोदने से हुज़ूर ने मनअ् फ़रमाया"।

हदीस् (26) सुनन अबूदाऊद में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है उन्होंने कहा बाल मिलाने वाली और मिलवाने वाली और अबरू के बाल नोचने वाली और नुचवाने वाली और गोदने वाली और गुदवाने वाली पर लअ्नत है जबकि बीमारी से यह न किया हो।

हदीस् (27) अबूदाऊद ने रिवायत की कि जिस साल मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने ज़मानाए ख़िलाफ़त में हज किया (मदीना में आये) और मिम्बर पर चढ़कर बालों का गुच्छा जो सिपाही के हाथ में था लेकर कहा ऐ अहले मदीना तुम्हारे उलमा कहाँ हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है कि हुज़ूर इससे मनअ् फ़रमाते थे यानी चोटी में बाल जोड़ने से और हुज़ूर यह फ़रमाते थे कि बनी इसराईल उस वक़्त हलाक हुए जब उनकी औरतों ने यह करना शुरूअ् कर दिया।

मसअ्ला.1:– इन्सान के बालों की चोटी बनाकर औरत अपने बालों में गून्धे यह हराम है हदीस् में उसपर लअ्नत आई बल्कि उसपर लअ्नत जिसने किसी दूसरी औरत के सर में ऐसी चोटी गून्धी और अगर वह बाल जिसकी चोटी बनाई गई ख़ुद उसी औरत के हैं जिसके सर जोड़ी गई जब भी ना'जाइज़ और अगर ऊन या स्याह तागे की चोटी बनाकर लगाये तो इसकी मुमानअत नहीं स्याह कपड़े का मूबाफ़ (चोटी में बांधने का कपड़ा) बनाना जाइज़ है और कलावा में तो अस्लन हरज नहीं कि यह बिल्कुल मुमताज़ होता है उसी तरह गोदने वाली और गुदवाने वाली या रेती से दांत रेत'कर ख़ुबसूरत करने वाली या दूसरी औरत के दांत रेतने वाली या मोचने से अब्रू के बालों को नोचकर ख़ुबसूरत बनाने वाली और जिसने दूसरी के बाल नोचे उन सब पर हदीस में लअ्नत आई। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– लड़कियों के कान, नाक छेदना जाइज़ है और बाज़ लोग लड़कों के भी कान छिदवाते हैं और दुरया पहनाते हैं यह ना'जाइज़ है यानी कान छिदवाना भी ना'जाइज़ और ज़ेवर पहनाना भी ना'जाइज़। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.3:– औरतों को हाथ पाँवों में मेहन्दी लगाना जाइज़ है कि यह ज़ीनत की चीज़ है बिला ज़रूरत छोटे बच्चों के हाथ पाँवों में मेहन्दी लगाना न चाहिए। (आलमगीरी) लड़कियों के हाथ पाँवों में लगा सकते हैं जिस तरह उनको ज़ेवर पहना सकते हैं।

मसअ्ला.4:– औरतें अपनी चोटियों में पोत (शीशे या कांच के दाने) और चाँदी, सोने के दाने लगा सकती हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– पत्थर का सुर्मा इस्तेअ्माल करने में ह़रज नहीं और स्याह सुर्मा या काजल ब'क़स्द ज़ीनत(ज़ीनत के इरादे से)मर्द को लगाना मकरूह है और ज़ीनत मक़्सूद न हो तो कराहत नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– मकान में ज़ी रूह की त़स्वीर लगाना जाइज़ नहीं और ग़ैर ज़ी'रूह की तस्वीर से मकान आरास्ता करना जाइज़ है जैसाकि तुग़रे और कतबों से मकान सजाने का रिवाज है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– गर्मी से बचने के लिये ख़स या जवासे की टट्टियाँ लगाना जाइज़ है और अगर तकब्बुर के तौर पर हो तो ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– यह शख़्स सवारी पर है और उसके साथ और लोग पैदल चल रहे हैं अगर मह़ज़ अपनी शान दिखाने और तकब्बुर के लिये ऐसा करता है तो मनअ् है। (आलमगीरी) और ज़रूरत से हो तो ह़रज नहीं मस्लन यह बूढ़ा या कमज़ोर है कि चल न सकेगा या साथ वाले किसी त़रह़ उसके पैदल चलने को गवारा ही नहीं करते जैसाकि बाज़ मरतबा उ़लमा व मशाइख़ के साथ दूसरे लोग खुद पैदल चलते हैं और उनको पैदल चलने नहीं देते उसमें कराहत नहीं जबकि अपने दिल को क़ाबू में रखें और तकब्बुर न आने दें और मह़ज़ उन लोगों की दिलजोई मन्जूर हो।

मसअ्ला.9:– मर्द को दाढ़ी और सर वग़ैरा के बालों में ख़िज़ाब लगाना जाइज़ बल्कि मुस्तह़ब है मगर स्याह ख़िज़ाब लगाना मनअ् है हाँ मुजाहिद को स्याह ख़िज़ाब भी जाइज़ है कि दुश्मन की नज़र में उसकी वजह से हैबत बैठेगी। (दुर्रेमुख़्तार)

नाम रखने का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है।

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ﴾

"ऐ ईमान वालो! एक गिरोह दूसरे गिरोह से मसखरा'पन न करे, हो सकता है कि यह उनसे बेहतर हों और न औ़रतें औ़रतों से मसख़रा पन करें हो सकता है कि यह उनसे बेहतर हों और अपने को ऐब न लगाओ और बुरे लक़बों से न पुकारो ईमान के बाद फ़ुसूक़ बुरा नाम है और जो तौबा न करें वह ज़ालिम हैं"।

ह़दीस् (1) बैहक़ी ने इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "औलाद का वालिद पर यह ह़क़ है कि उसका अच्छा नाम रखे और अच्छा अदब सिखाये"।

ह़दीस् (2) असह़ाबे सुनने अरबअ् ने अ़ब्दुल्लाह बिन जुराद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अपने भाईयों को उनके अच्छे नामों से पूकारो बुरे अलक़ाब से न पुकारो"।

ह़दीस् (3) स़ह़ीह़ मुस्लिम में इब्ने उ़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "तुम्हारे नामों में अल्लाह तआ़ला के नज़्दीक ज़्यादा प्यारे नाम अ़ब्दुल्लाह व अ़ब्दुर्रह़मान हैं"।

ह़दीस् (4) इमाम अह़मद व अबू'दाऊद ने अबुद्दरदा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "क़ियामत के दिन तुमको तुम्हारे नाम और तुम्हारे बापों के नाम से बुलाया जायेगा लिहाज़ा अच्छे नाम रखो"।

ह़दीस् (5) अबूदाऊद ने अबी वहब जशमी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के नाम पर नाम रखो और अल्लाह के नज़्दीक नामों में ज़्यादा प्यारे नाम अ़ब्दुल्लाह व अ़ब्दुर्रह़मान हैं और सच्चे नाम ह़ारिस् व हुमाम हैं और ह़र्ब व मुर्रा बुरे नाम हैं"।

ह़दीस् (6) दैलमी ने ह़ज़रत आइशा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अच्छों के नाम पर नाम रखो और अपनी ह़ाजतें अच्छे चेहरे वालों से त़लब करो"।

हदीस् (7) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "मेरे नाम पर नाम रखो और मेरी कुन्नियत के साथ कुन्नियत न करो क्योंकि (मेरी कुन्नियत अबुलक़ासिम महज़ इस वजह से नहीं कि मेरे साहेबज़ादा का नाम क़ासिम था बल्कि) मैं क़ासिम बनाया गया हूँ कि तुम्हारे मा'बैन तक़सीम करता हूँ"।

हदीस् (8) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बाज़ार में थे एक शख़्स ने अबुल'क़ासिम कह'कर पुकारा उस की तरफ़ मुतवज्जेह हुए उसने कहा मैंने उस शख़्स को पुकारा इरशाद फ़रमाया "मेरे नाम के साथ नाम रखो और मेरी कुन्नियत के साथ कुन्नियत न करो"।

हदीस् (9) अबूदाऊद ने हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह अगर हुजूर के बाद मेरे लड़का पैदा हो तो आपके नाम पर उसका नाम रखूँ और आप की कुन्नियत पर उसकी कुन्नियत करूँ फ़रमाया हाँ।

हदीस् (10) इब्ने असाकिर अबूउमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं "जिसके लड़का पैदा हो और वह मेरी महब्बत और मेरे नाम से बरकत हासिल करने के लिये उसका नाम मुहम्मद रखे वह और उसका लड़का दोनों बहिश्त में जायें"।

हदीस् (11) हाफ़िज़ अबू ताहिर सलफ़ी ने अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं। "रोज़े क़ियामत दो शख़्स रब्बुल'इज़्ज़त के हुज़ूर खड़े किये जायेंगे हुक्म होगा उन्हें जन्नत में लेजाओ अर्ज़ करेंगे इलाही हम किस अमल पर जन्नत के क़ाबिल हुए हमने तो जन्नत का कोई काम किया नहीं फ़रमायेगा जन्नत में जाओ मैंने हल्फ़ किया है कि जिसका नाम अहमद या मुहम्मद हो दोज़ख़ में न जायेगा।

हदीस् (12) अबू'नईम ने हिल्या में नुबैत बिन शरीत रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि "अल्लाह तआला ने फ़रमाया मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की क़सम जिसका नाम तुम्हारे नाम पर होगा उसे अज़ाब न दूँगा"।

हदीस् (13) इब्ने सअ्द तबक़ात में उस्मान उमरी से मुरसलन रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं "तुम में किसी का क्या नुक़सान है अगर उसके घर में एक मुहम्मद या दो मुहम्मद या तीन मुहम्मद हों"।

हदीस् (14) तिब्रानी कबीर में अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिसके तीन बेटे हों और वह उनमें से किसी का नाम मुहम्मद न रखे वह ज़रूर जाहिल है"।

हदीस् (15) हाकिम ने हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब लड़के का नाम मुहम्मद रखो तो उसकी इज़्ज़त करो और मज्लिस में उसके लिये जगह कुशादा करो और उसे बुराई की तरफ़ निस्बत न करो"।

हदीस् (16) बज़्ज़ार ने अबू राफ़ेअ् रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब लड़के का नाम मुहम्मद रखो तो उसे न मारो और न महरूम करो"।

हदीस् (17) सहीह मुस्लिम में ज़ैनब बिन्ते अबी सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कि उनका नाम बर्रा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अपना तज़किया न करो। (यानी अपनी बड़ाई और तअ्रीफ़ न करो) अल्लाह को मालूम है कि तुममें बुरा और नेकी वाला कौन है उसका नाम ज़ैनब रखदो।

हदीस् (18) सहीह मुस्लिम में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कहते हैं जवैरिया रदियल्लाहु तआला अन्हा का नाम बर्रा था हुज़ूर ने यह नाम बदलकर जवैरिया रखा और यह बात हुज़ूर को ना'पसन्द थी कि यूँ कहा जायेगा कि बर्रा के पास से चले गये।

हदीस (19) सहीह मुस्लिम में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी कहते हैं कि हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु की एक लड़की का नाम आसिया था हुज़ूर ने उसका नाम जमीला रखा।

हदीस (20) तिर्मिज़ी ने हज़रत आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुरे नाम को बदल देते थे।

हदीस (21) सहीह बुख़ारी में सअ़द इब्ने मुसय्यब रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं मेरे दादा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए हुज़ूर ने पूछा "तुम्हारा क्या नाम है" उन्होंने कहा हुज़्न फ़रमाया "तुम सहल हो यानी अपना नाम सहल रखो कि उसके मअ़ना नर्म और हुज़्न सख़्त को कहते हैं उन्होंने कहा जो नाम मेरे बाप ने रखा है उसे नहीं बदलूँगा सईद इब्ने मुसय्यब कहते हैं इसका नतीजा यह हुआ कि हममें अब तक सख़्ती पाई जाती है।

तम्बीह:– नाम रखने के मुतअ़ल्लिक़ बाज़ मसाइल अ़क़ीक़ा के बयान में ज़िक्र किये गये हैं वहाँ से मालूम करें बाज़ यहाँ ज़िक्र की जाती हैं।

मसअ्ला.1:– अल्लाह तआला के नज़्दीक बहुत प्यारे नाम अ़ब्दुल्लाह व अ़ब्दुर्रहमान हैं जैसाकि हदीस में वारिद है उन दोनों में ज़्यादा अफ़ज़ल अ़ब्दुल्लाह है कि इज़ाफ़ते अ़ब्द ज़ात की तरफ़ है। उन्हीं के हुक्म में वह असमा हैं जिनमें उ़बूदियत की इज़ाफ़त दीगर असमा–ए–सिफ़ातिया की तरफ़ हो मसलन अ़ब्दुर्रहीम, अ़ब्दुल'मलिक अ़ब्दुल'ख़ालिक़ वग़ैरहा हदीस में जो उन दोनों नामों को तमाम नामों में ख़ुदा तआला के नज़्दीक प्यारा फ़रमाया गया उसका मतलब यह है कि जो शख़्स अपना नाम अ़ब्द के साथ रखना चाहता हो तो सबसे बेहतर अ़ब्दुल्लाह व अ़ब्दुर्रहमान हैं। वह नाम न रखे जायें जो जाहिलियत में रखे जाते थे कि किसी का नाम अ़ब्दे शम्स और किसी का अ़ब्दुद्दार होता लिहाज़ा यह न समझना चाहिए कि यह दोनों नाम मुहम्मद व अहमद से भी अफ़ज़ल हैं क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस्मे पाक मुहम्मद व अहमद हैं और ज़ाहिर यही है कि यह दोनों नाम ख़ुद अल्लाह तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिये मुन्तख़ब फ़रमाये अगर यह दोनों नाम ख़ुदा के नज़्दीक बहुत प्यारे न होते तो अपने महबूब के लिये पसन्द न फ़रमाया होता। अहादीस में मुहम्मद नाम रखने के बहुत फ़ज़ाइल मज़कूर हैं उन में से बाज़ ज़िक्र किये गये।

मसअ्ला.2:– जिनका नाम मुहम्मद हो वह अपनी कुन्नियत अबू क़ासिम रख सकता है और हदीस में जो मुमानअ़त आई है वह हुज़ूर अक़्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयाते ज़ाहिरी के साथ मख़्सूस थी क्योंकि अगर किसी की यह कुन्नियत होती और उसके साथ पुकारा जाता तो धोका लगता कि शायद हुज़ूर को पूकारा चुनाँचि एक दफ़अ़ा ऐसा ही हुआ कि किसी ने दूसरे को अबुल'क़ासिम कहकर आवाज़ दी हुज़ूर ने उसकी तरफ़ तवज्जोह फ़रमाई तो उसने कहा मैंने हुज़ूर को नहीं इरादा किया यानी नहीं पुकारा उस मौक़े पर इरशाद फ़रमाया कि मेरे नाम के साथ नाम रखो और मेरी कुन्नियत के साथ अपनी कुन्नियत न करो अगर यह शुब्ह किया जाये कि नाम रखने में भी उस क़िस्म का धोका हो सकता था तो उसका जवाब यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नामे पाक के साथ पुकारना क़ुर्आन पाक ने मनअ़ फ़रमादिया था।

﴿لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾

"रसुल के पुकारने को आपस में ऐसा न ठहरालो जैसा कि तुम में एक दूसरे को पुकारता है"

लिहाज़ा सहाबए किराम जो हाज़िरे ख़िदमते अक़्दस हुआ करते थे वह कभी नाम के साथ पुकारते न थे बल्कि या रसूलल्लाह या नबीयल्लह वग़ैरा अलक़ाब से निदा करते। वह एहतिमाल ही यहाँ पैदा न होता कि मुहम्मद कहकर कोई पुकारे और हुज़ूर मुराद हों एअ़राब वग़ैरा ना'वाक़िफ़ लोगों ने इस तरह पुकारा तो यह दूसरी बात है क्योंकि वह नावकिफ़ी में हुआ और हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने साहिबज़ादे मुहम्मद इब्ने हनफ़िया का नाम मुहम्मद और कुन्नियत अबुल'क़ासिम रखी और यह हुज़ूर अक़्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इजाज़त से हुआ

लिहाज़ा इससे मालूम होता है कि वह हदीस् मन्सूख है।

मसअ्ला.3:– बाज़ असमाए इलाहिया जिनका इतलाक़ गैरुल्लाह पर जाइज़ है उनके साथ नाम रखना जाइज़ है जैसे अ़ली, रशीद, कबीर, बदीअ़ क्योंकि बन्दों के नामों में वह मअ़ना मुराद नहीं हैं जिनका इरादा अल्लाह तआ़ला पर इत्लाक़ करने में होता है और उन नामों में अलिफ़ व लाम मिलाकर भी नाम रखना जाइज़ है मस्लन अलअ़ली, अर्रशीद। हाँ इस ज़माने में चूंकि अवाम में नामों की तसग़ीर करने का बकस्रत रिवाज होगया है लिहाज़ा जहाँ ऐसा गुमान हो ऐसे नाम से बचना ही मुनासिब है खुसूसन जबकि असमा–ए–इलाहिया के साथ अ़ब्द का लफ़्ज़ मिलाकर नाम रखा गया मस्लन अ़ब्दुर्रहीम, अ़ब्दुलकरीम, अ़ब्दुल अज़ीज़ कि यहाँ मुज़ाफ़ इलैहि से मुराद अल्लाह तआ़ला है और ऐसी सूरत में तसग़ीर अगर क़स्दन होती तो मआज़ल्लाह कुफ्र होती क्योंकि यह उस शख़्स की तसग़ीर नहीं बल्कि मअ़बूदे बर'हक़ की तसग़ीर है मगर अवाम और ना'वाकिफ़ों का यह मक़सद यक़ीनन नहीं है इसी लिये वह हुक्म नहीं दिया जायेगा। बल्कि उनको समझाया और बताया जाये और ऐसे मौक़े पर ऐसे नाम ही न रखे जायें जहाँ यह एहतिमाल (शक) हो। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.4:– ऐसा नाम रखना जिसका ज़िक्र न क़ुर्आन मजीद में आया हो न हदीसों में हो न मुसलमानों में ऐसा नाम मुस्तअ़मल (जारी) हो उसमें उलमा को इख़्तिलाफ़ है बेहतर यह है कि न रखे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम रखने की हाजत नहीं बिग़ैर नाम रखे दफ़्न करदें। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– बच्चा पैदा होकर मर गया तो दफ़्न से पहले उसका नाम रखा जाये लड़का हो तो लड़कों का सा, लड़की हो तो लड़कियों का सा नाम रखा जाये और मालूम न होसका कि लड़की है या लड़का तो ऐसा नाम रखा जाये जो मर्द व औरत दोनों हो सकता हो। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.7:– बच्चे की कुन्नियत होसकती है या नहीं सहीह यह है कि हो सकती है हदीसे् अबी उमैर उसकी दलील है।

मसअ्ला.8:– बच्चे की कुन्नियत अबूबक्र, अबू तुराब, अबुल'हसन वग़ैरा रखना जाइज़ है इन कुन्नियतों से तबर्रुक मक़सूद होता है कि उन हज़रात की बरकत बच्चे के शामिले हाल हो। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.9:– जो नाम बुरे हों उनको बदल कर अच्छा नाम रखना चाहिए हदीस् में है कि क़ियामत के दिन तुम अपने और अपने बापों के नाम से पुकारे जाओगे लिहाज़ा अपने नाम अच्छे रखो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने बुरे नामों को बदल दिया एक शख़्स का नाम असरम था उसको बदलकर ज़ुरआ रखा और आसिया नाम को बदल कर जमीला रखा। यसार, रिबाह, अफ़लह, बरकत नाम रखने से भी मनअ़ फ़रमाया।

मसअ्ला.10:– अ़ब्दुल'मुस्तफ़ा, अ़ब्दुन्नबी, अ़ब्दुर्रसूल नाम रखना जाइज़ है कि उस निस्बत की शराफ़त मक़सूद है और उबूदियत के हक़ीक़ी मअ़ना यहाँ मक़सूद नहीं हैं। रही अ़ब्द की इज़ाफ़त गैरुल्लाह की तरफ़ यह क़ुर्आन व हदीस् से साबित है।

मसअ्ला.11:– ऐसे नाम जिनमें तज़किया–ए–नफ़्स और खुद'सिताई (अपनी बड़ाई, और तारीफ़) निकलती है उनको भी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने बदल डाला बर्रा का नाम ज़ैनब रखा और फ़रमाया कि "अपने नफ़्स का तज़्किया न करो"। शमसुद्दीन, ज़ैनुद्दीन, मुहीयुद्दीन, फ़खरुद्दीन, नसीरुद्दीन, सिराजुद्दीन, निज़ामुद्दीन, क़ुतबुद्दीन वग़ैरहा नाम जिनके अन्दर खुद'सिताई और बड़ी ज़बर'दस्त तअ़रीफ़ पाई जाती है नहीं रखने चाहिए। रहा यह कि बुज़ुर्गाने दीन व अइम्मा–ए–साबेक़ीन को उन नामों से याद किया जाता है तो यह जानना चाहिए कि उन हज़रात के नाम यह न थे बल्कि यह उनके अलक़ाब हैं कि जब वह हज़रात मरातिबे उलया और मनासिबे जलीला (बलन्द मरतबों और बड़े मनसबों) पर फ़ाइज़ हुए तो मुसलमानों ने उनको इस तरह कहा और यहाँ एक जाहिल और अनपढ़ जो अभी पैदा हुआ और उसने दीन की अभी कोई ख़िदमत नहीं की इतने बड़े बड़े

अल्फ़ाज़े फ़ख़ीमा (बुजुर्गी वाले अलफ़ाज) से याद किया जाने लगा। इमाम मुहीयुद्दीन नोवी से रहमतुल्लाहि तआला ब'वजूद उस जलालते शान के उनको अगर मुहियुद्दीन कहा जाता तो इनकार फ़रमाते और कहते कि जो मुझे मुहियुद्दीन नाम से बुलाये उसको मेरी तरफ़ से इजाज़त नहीं(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.12:– गुलाम'मुहम्मद, गुलाम'सिद्दीक़, गुलाम'फ़ारूक़, गुलाम'अ़ली, गुलाम'ह़सन, गुलाम'हुसैन, वग़ैरा नाम जिनमें अम्बिया व सहाबा व औलिया के नामों की तरफ़ गुलाम को इज़ाफ़त करके नाम रखा जाये यह जाइज़ है उसके अ़दमे जवाज़ की कोई वजह नहीं, बाज़ वहाबिया का इन नामों का ना'जाइज़ बल्कि शिर्क बताना बद बातिनी की दलील है ऐसा भी सुना गया है कि बाज़ वहाबियों ने गुलाम अ़ली नाम को बदलकर गुलामुल्लाह नाम रखा यह उनकी जिहालत है कि जाइज़ नाम को बदलकर ना'जाइज़ नाम रखा गुलाम इज़ाफ़त अल्लाह तआ़ला की तरफ़ करना और किसी को गुलामुल्लाह कहना ना'जाइज़ है क्योंकि गुलाम के ह़क़ीक़ी मअ़्ना पिसर और लड़का के हैं अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल उससे पाक है कि उसके लिये कोई लड़का हो अ़ल्लामा अ़ब्दुल'ग़नी नाबलिसी क़ुद्दिस सिर्रुहु ने ह़दीक़ा–ए–नदिय्या में फ़रमाया युक़ालु अ़ब्दुल्लाह व अमतुल्लाह वला युक़ालु गुलामुल्लाह व जारियतुल्लाह।

मसअ्ला.13:– मुहम्मद'बख़्श, अहमद'बख़्श, नबी'बख़्श, पीर'बख़्श, अ़ली'बख़्श, हुसैन'बख़्श, और उसी क़िस्म के दूसरे नाम जिनमें किसी नबी या वली के नाम के साथ बख़्श का लफ़्ज़ मिलाकर नाम रखा गया हो जाइज़ है।

मसअ्ला.14:– ग़फ़ूरुद्दीन, ग़फ़ूरुल्लाह नाम रखना ना'जाइज है क्योंकि ग़फ़ूर के मअ़्ना हैं मिटाने वाला अल्लाह तआ़ला ग़फ़ूर है कि वह बन्दों के गुनाह मिटादेता है लिहाज़ा ग़फ़ूरुद्दीन के मअ़्ना हुए दीन को मिटाने वाला।

मसअ्ला.15:– طٰهٰ ;يٰسٓ (ताहा,यासीन) नाम भी न रखे जायें कि यह मुक़त्तआते क़ुर्आनिया से हैं जिनके मअ़्ना मालूम नहीं ज़ाहिर यह है कि यह असमा–ए–नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से हैं और बाज़ उ़लमा ने असमा–ए–इलाहिया से कहा बहर हाल जब मअ़्ना मालूम नहीं तो हो सकता है कि उसके ऐसे मअ़्ना हों जो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम या अल्लाह तआ़ला के साथ ख़ास हों और उन नामों के साथ मुहम्मद मिलाकर मुम्मद ताहा, मुहम्मद यासीन, कहना भी मुमानअ़त को दफ़अ़ न करेगा।

मसअ्ला.16:– मुहम्मद'नबी, अहमद'नबी, मुहम्मद'रसूल, अहमद'रसूल, नबीयुज़्ज़मां नाम रखना भी ना'जाइज़ है बल्कि बाज़ का नाम नबीयुल्लाह भी सुना गया है ग़ैर नबी को नबी कहना हरगिज़ हरगिज़ जाइज़ नहीं होसकता।

तम्बीह:– अगर कोई यह कहे कि नामों में असली मअ़्ना का लिहाज़ नहीं होता बल्कि यहाँ तो यह शख़्स मुराद है उसका जवाब यह है कि अगर ऐसा होता तो शैतान, इब्लीस वग़ैरा इस क़िस्म के नामों से लोग गुरेज़ न करते और नामों में अच्छे और बुरे नामों की दो क़िस्में न होतीं और ह़दीस में न फ़रमाया जाता कि अच्छे नाम रखो नीज़ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने बुरे नामों को बदला न होता कि जब उस असली मअ़्ना का बिल्कुल लिहाज़ नहीं तो बदलने की क्या वजह।

मुसाबक़त का बयान

ह़दीस (1) सह़ीह़ बुख़ारी में सलमा इब्ने अकवअ़ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कहते हैं कुछ लोग पैदल तीर'अन्दाज़ी कर रहे थे यानी मुसाबक़त के तौर पर, उनके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ लाये और फ़रमाया ऐ बनी इस्माईल (यानी अहले अ़रब क्योंकि अ़रब वाले हज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद हैं) तीर'अन्दाज़ी करो क्योंकि तुम्हारे बाप यानी इस्माईल अ़लैहिस्सलाम तीर'अन्दाज़ थे और दोनों फ़रीक़ों में से एक के मुतअ़ल्लिक़ फ़रमाया कि मैं बनी फुलाँ के साथ हूँ। दूसरे फ़रीक़ ने हाथ रोक लिया हुज़ूर ने फ़रमाया क्यों तुम लोगों ने हाथ रोका।

उनहोंने कहा जब हुज़ूर बनी फुलाँ यानी हमारे फ़रीक़े मुक़ाबिल के साथ होगये तो अब हम क्योंकर तीर चलायें यानी अब हमारे जीतने की सूरत बाक़ी नहीं रही। इरशाद फ़रमाया "तुम तीर चलाओ मैं तुम सबके साथ हूँ"।

हदीस् (2) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने मुज़मर घोड़ों (मुज़मर घोड़े वह कहलाते हैं जिनको ख़ूब खिलाकर मोटा करलिया जाये उसके बाद ख़ुराक कम करें और एक मकान में बन्द करदें और उनको झूल उढ़ादें कि ख़ूब पसीना आये और बादी गोश्त छंटकर दुबले होजायें ऐसे घोड़े बहुत तेज़ रफ़्तार होते हैं। "मुहम्मद अमीनुल क़ादरी") में हफ़िया (यह एक जगह का नाम है जो मदीना तय्यिबा से चन्द मील फ़ासिले पर है) से दौड़ कराई और उसकी इन्तिहाई मुसाफ़त स़नीयतुल'वदअ़ थी और दोनों के मा'बैन छः मील मुसाफ़त थी और जो घोड़े मुज़मर न थे उनकी दौड़ स़निय्या से मस्जिदे बनी ज़रीक़ तक हुई उन दोनों में एक मील का फ़ासि़ला था।

हदीस् (3) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व निसाई ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "मुसाबक़त नहीं मगर तीर और ऊँट और घोड़े में"।

हदीस् (4) शरह सुन्ना में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "दो घोड़ों में एक और घोड़ा शामिल कर लिया और मा'लूम है कि पीछे रह जायेगा तो उसमें ख़ैर नहीं और अगर अन्देशा है कि यह आगे जा सकता है तो मुज़ाइक़ा नहीं" यानी पहली सूरत में ना'जाइज़ है और दूसरी सूरत में जाइज़।

हदीस् (5) अबूदाऊद ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "दो घोड़ों में एक और घोड़ा शामिल किया और उसके पीछे हो जाने का इल्म नहीं है तो क़िम्मार (जुवा) नहीं और मा'लूम है कि पीछे रह जायेगा तो जुवा है।

हदीस् (6) अबूदाऊद व निसाई ने इमरान इब्ने हुसैन रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जलब व जुनुब नहीं हैं यानी घुड़ दौड़ में यह जाइज़ नहीं कि कोई दूसरा शख़्स़ उसके घोड़े को डांटे और मारे कि यह तेज़ दौड़ने लगे और न यह कि सवार अपने साथ कोतल घोड़ा (यानी ख़ाली घोड़ा) रखे कि जब पहला घोड़ा थक जाये तो दूसरे पर सवार होजाये"।

हदीस् (7) अबूदाऊद ने आइशा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के हमराह यह सफ़र में थीं। कहती हैं मैंने हुज़ूर से पैदल मुसाबक़त की और मैं आगे होगई फिर जब मेरे जिस्म में गोश्त ज़्यादा होगया यानी पहले से कुछ मोटी होगई मैंने हुज़ूर के साथ दौड़ की इस मरतबा हुज़ूर आगे होगये और यह फ़रमाया कि यह उसका बदला होगया।

मसाइल फ़िक़्हिया:– मुसाबक़त का मतलब यह है कि चन्द शख़्स़ आपस में यह तै करें कि कौन आगे बढ़ जाता है जो सबक़त लेजाये उसको यह दिया जायेगा यह मुसाबक़त सिर्फ़ तीर'अन्दाज़ी में हो सकती है या घोड़े, गधे, खच्चर में जिस तरह घुड़ दौड़ में हुआ करता है कि चन्द घोड़े एक साथ भगाते जाते हैं जो आगे निकल जाता है उसको एक रक़म या कोई चीज़ दी जाती है। ऊँट और आदमियों की दौड़ भी जाइज़ है क्योंकि ऊँट भी अस्बाबे जिहाद में हैं यानी यह जिहाद के लिये कार'आमद चीज़ है मतलब यह है कि उन दौड़ों से मक़सूद जिहाद की तैयारी है लहव व लइब मक़सूद नहीं अगर महज़ खेल के लिये ऐस करता है तो मकरूह है इसी तरह अगर फ़ख़ और बड़ाई मक़सूद हो या अपनी शुजाअ़त व बहादुरी का इज़हार मक़सूद हो तो यह भी मकरूह है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.1:– सब्क़त लेजाने वाले के लिये कोई चीज़ मशरूत न हो तो उन मज़कूर अशया के साथ उसका जवाज़ ख़ास नहीं बल्कि हर चीज़ में मुसाबक़त हो सकती है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– साबिक़ (आगे निकल जाने वाले) के लिये जो कुछ मिलना तै पाया है वह उसके लिये

हलाल व तय्यिब है मगर वह उसका मुस्तहक़ नहीं यानी अगर दूसरा उसको न दे तो काज़ी के यहाँ दअ्वा कर के जबरन वसूल नहीं कर सकता। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– मुसाबक़त जाइज़ होने के लिये शर्त यह है कि सिर्फ़ एक जानिब से माल शर्त हो यानी दोनों में से एक ने यह कहा कि अगर तुम आगे निकल गये तो तुमको मसलन सौ रूपये दूँगा और मैं आगे निकल गया तो तुम से कुछ नहीं लूँगा दूसरी सूरत जवाज़ की यह है कि शख़्से सालिस (तीसरा शख़्स) ने उन दोनों से यह कहा कि तुम में जो आगे निकल जायेगा उसको इतना दूँगा जैसाकि अकसर हुकूमत की जानिब से दौड़ होती है और उसमें आगे निकल जाने वाले के लिये इन्आम मुक़र्रर होता है उन लोगों में बाहम कुछ लेना देना तै नहीं होता है। (दुर्रेमुख़्तार वगैरा)

मसअ्ला.4:– अगर दोनों जानिब से माल की शर्त हो मसलन तुम आगे होगये तो मैं इतना दूँगा और मैं आगे होगया तो मैं इतना लूँगा यह सूरत जुवा और हराम है, हाँ अगर दोनों ने अपने साथ एक तीसरे शख़्स को शामिल कर लिया जिसको मुहल्लिल कहते हैं और ठहरा यह कि अगर यह आगे निकल गया तो रक़म मज़कूर यह लेगा और पीछे रहगया तो यह देगा कुछ नहीं, इस सूरत मे दोनों जानिब से माल की शर्त जाइज़ है। (आलमगीरी, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– मुहल्लिल के लिये यह ज़रूर है कि उसका घोड़ा भी उन्हीं दोनों जैसा हो यानी हो सकता है कि उसका घोड़ा आगे निकल जाये या पीछे रह जाये दोनों बातों में से एक का यक़ीन न हो और अगर उसका घोड़ा उन जैसा न हो मालूम हो कि पीछे ही रह जायेगा या मालूम हो कि यक़ीनन आगे निकल जायेगा तो उसके शामिल करने से शर्त जाइज़ न होगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– मुहल्लिल यानी शख़्से सालिस (तीसरे शख़्स) का घोड़ा अगर दोनों से आगे निकल गया तो दोनों ने जो कुछ देने को कहा था यह मुहल्लिल दोनों से ले लेगा और अगर दोनों से पीछे रह गया तो यह उन दोनों को कुछ नहीं देगा बल्कि उन दोनों में जो आगे होगया वह दूसरे से वह लेगा जिसका देना शर्त ठहरा है इसकी सूरत यह है कि दो शख़्स ने पाँच, पाँचसौ की बाज़ी लगाई और मुहल्लिल को शामिल कर लिया कि अगर मुहल्लिल आगे होगया तो दोनों से पाँच पाँच सौ यानी एक हज़ार ले लेगा और अगर मुहल्लिल आगे न हुआ तो उन दोनों को वह कुछ न देगा बल्कि उन दोनों में जो आगे होगा वह दूसरे से पाँच सौ लेगा और अगर दोनों के घोड़े एक साथ पहुँचे तो उन दोनों में कोई भी दूसरे को कुछ न देगा, न मुहल्लिल से कुछ लेगा और अगर उन दोनों में एक का घोड़ा और मुहल्लिल का घोड़ा दोनों एक साथ पहुँचे तो मुहल्लिल इससे कुछ नहीं ले सकता बल्कि उससे लेगा जिसका घोड़ा पीछे रह गया और दूसरा भी उसी पीछे रह जाने वाले से लेगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.7:– मुसाबक़त में शर्त यह है कि मुसाफ़त इतनी हो जिसको घोड़े तै कर सकते हों और जितने घोड़े लिये जायें वह सब ऐसे हों जिनमें यह एहतिमाल हो कि आगे निकल जायेंगे इस तरह तीर अन्दाज़ी और आदमियों की दौड़ में भी यही शर्तें हैं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.8:– ऊँटों की दौड़ में आगे होने का मतलब यह है कि शाना आगे होजाये गर्दन का एअ्तिबार नहीं और घोड़ों की दौड़ में जिसकी गर्दन आगे होजाये वह आगे होने वाला माना जायेगा। (रद्दुल मुहतार) मगर इस ज़माने का रिवाज यह है कि घोड़ों में कनोती का एअ्तिबार किया जाता है और कनोती भी जब ही आगे होगी कि गर्दन आगे होजाये।

मसअ्ला.9:– तलबा ने किसी मसअ्ला के मुतअ़ल्लिक़ शर्त लगाई कि जिसकी बात सहीह होगी उसको यह दिया जायेगा उसमें भी वह सारी तफ़सील है जो मुसाबक़त में मज़कूर हुई यानी अगर एक तरफ़ से शर्त हो तो जाइज़ है दोनों तरफ़ से हो तो नाजाइज़ मसलन एक तालिबे इल्म ने दूसरे से कहा चलो उस्ताज़ से चलकर पूछें अगर तुम्हारी बात सहीह हो तो मैं तुमको यह दूँगा और मेरी सहीह हुई तो तुमसे कुछ नहीं लूँगा कि एक जानिब से शर्त हुई या एक ने दूसरे से कहा आओ मैं और तुम मसाइल में गुफ़्तगू करें अगर तुम्हारी बात सहीह हुई तो यह दूँगा और मेरी सहीह हुई

तो कुछ न लूँगा यह जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– तलबा में यह ठहरा कि जो पहले आयेगा उसका सबक़ पहले होगा इस सूरत में जो दर्सगाह में पहले आया उसका हक़ मुक़द्दम है और अगर हर एक पहले आने का मुद्दई है तो जो गवाहों से पहले आना साबित करदे वह मुक़द्दम है और अगर गवाह न हों तो कुर्आ डाला जाये जिसका नाम पहले निकले वह मुक़द्दम है। (ख़ानिया)

कसब का बयान

(कसबे हलाल की ख़ूबियाँ ग्यारहवें हिस्से में अहादीस से बयान होचुकी हैं)

इतना कमाना फ़र्ज़ है जो अपने लिये और अहल व अयाल के लिये और जिनका नफ़्क़ा उसके ज़िम्मे वाजिब है उनके नफ़्क़ा के लिये और अदाए दैन (कर्ज अदा करने) के लिये किफ़ायत कर सके उसके बाद उसे इख़्तियार है कि इतने ही पर बस करे या अपने और अहल व अयाल के लिये कुछ पस मान्दा (बचत के लिये) रखने की भी सई व कोशिश करे। माँ, बाप मोहताज व तंगदस्त हों क़र्ज़ है कि कमाकर उन्हें बक़द्रे किफ़ायात दे।(जितना किफ़ायत करे) (आलमगीरी)

मसअ्ला.1:– क़द्रे किफ़ायत से ज़ाइद इसलिये कमाता है कि फ़ुक़रा व मसाकीन की ख़बर गीरी कर सकेगा या अपने क़रीबी रिश्तेदारों की मदद करेगा यह मुस्तहब है और यह नफ़्ल इबादत से अफ़ज़ल है और अगर इस लिये कमाता है कि माल व दौलत ज़्यादा होने से मेरे इज़्ज़त व वक़ार में इज़ाफ़ा होगा फ़ख़्र, तकब्बुर, मक़सूद न हो तो यह मुबाह है और अगर महज़ माल की कस्रत या तफ़ाख़ुर मक़सूद है तो मनअ् है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– जो लोग मसाजिद और ख़ानक़ाहों में बैठ जाते हैं और बसर औक़ात के लिये कुछ काम नहीं करते और अपने को मुतवक्किल बताते हैं हालाँकि उनकी निगाहें इसकी मुन्तज़िर रहती हैं कि कोई हमें कुछ देजाये वह मुतवक्किल नहीं उससे अच्छा यह था कि कुछ काम करते उससे बसर औक़ात करते। (आलमगीरी) इसी तरह आजकल बहुत से लोगों ने पीरी मुरीदी को पेशा बनालिया है सालाना मुरीदों में दौरा करते हैं और मुरीदों से तरह तरह से रक़में खसोटते हैं जिसको नज़राना वग़ैरा नामों से मौसूम करते हैं और उन में बहुत से ऐसे भी हैं जो झूट और फ़रेब से भी काम लेते हैं यह ना जाइज़ है।

मसअ्ला.3:– सबसे अफ़ज़ल कसब जिहाद है यानी जिहाद में जो माले ग़नीमत हासिल हुआ मगर यह ज़रूर है कि उसने माल के लिये जिहाद न किया हो बल्कि एअ्ला–ए–कलिमतुल्लाह मक़सूदे असली हो जिहाद के बाद तिजारत फिर ज़राअत फिर सन्अत व हिरफ़त का मरतबा है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– चर्ख़ा कातना औरतों का काम है मर्द को चर्ख़ा कातना मकरूह है। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.5:– जिसके पास उस दिन के खाने के लिये मौजूद हो उसे सुवाल करना हराम है साइलों और गदा गरों ने इसतरह पर जो माल हासिल किया और जमअ् किया वह ख़बीस् माल है(आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– जो शख़्स इल्मे दीन व क़ुर्आन पढ़कर कसब छोड़ देता है वह अपने दीन को खाता है (आलमगीरी) यानी आलिम या क़ारी होकर बैठ गया और कमाना छोड़ दिया यह ख़याल किये हुए है कि लोग मुझे आलिम या क़ारी समझकर खुद ही खाने को देंगे कमाने की क्या ज़रूरत है यह ना जाइज़ है रहा यह अम्र कि क़ुर्आन मजीद व इल्मे दीन की तअ्लीम पर उजरत लेना और उसके पढ़ाने की नौकरी करना उसको फ़ुक़हा मुताख़िरीन ने जाइज़ बताया है जिसको हम इजारा के बयान में ज़िक्र कर चुके हैं। यह दीन फ़रोशी में दाख़िल नहीं।

मसअ्ला.7:– जिस शख़्स ने हराम तरीक़े से माल जमा किया और मर गया वुरस्। को अगर मालूम हो कि फ़ुलाँ फ़ुलाँ के यह अमवाल हैं तो उनको वापस करदें और मालूम न हो तो सदक़ा करदें(आलम)

मसअ्ला.8:– अगर माल में शुबह हो तो ऐसे माल को अपने क़रीबी रिश्ते दार पर सदक़्क़ा कर सकता है यहाँ तक कि अपने बाप या बेटे को दे सकता है इस सूरत में यही ज़रूर नहीं कि अजनबी ही को दे। (आलमगीरी)

अम्र बिल मअ़रूफ़ व नही अ़निल मुन्कर का बयान

अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है

﴿وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ٥﴾

"और तुममें एक ऐसा गिरोह होना चाहिए कि भलाई की तरफ़ बुलाये और अच्छी बात का हुक्म दे और बुरी बात से मनअ़ करे और यही लोग फ़लाह पाने वाले हैं"।

और फ़रमाता है।

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ﴾

"तुम बेहतर हो उनमें सब उम्मतों में जो लोगों में जाहिर हुए भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मनअ़ करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो"।

और कुर्आन में है।

﴿يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَ اْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ٥﴾

(लुकमान ने अपने बेटे से कहा)"ऐ मेरे बेटे नमाज काइम रख और अच्छी बात का हुक्म दे और बुरी बात से मनअ़ कर और जो उफ़ताद (मुसीबत) तुझ पर पडे उसपर सब्र कर बेशक यह हिम्मत के काम हैं"।

हदीस (1) "तुम में जो शख़्स बुरी बात देखे उसे अपने हाथ से बदलदे और अगर उसकी इस्तिताअ़ात न हो तो ज़बान से बदले और उसकी भी इस्तिताअ़ात (ताक़त) न हो तो दिल से यानी उसे दिल से बुरा जानें और यह कमज़ोर ईमान वाला है। (मुस्लिम)

हदीस (2) हुदूदुल्लाह में मुदाहनत करने वाला (यानी ख़िलाफ़े शरअ़ चीज़ देखे और ब'वजूद कुदरत मनअ़ न करे उसकी) और हुदूदुल्लाह में वाक़ेअ़ होने वाले की मिसाल यह है कि एक क़ौम ने जहाज़ के बारे में कुर्आ डाला बाज़ ऊपर के हिस्से में रहे बाज़ नीचे के हिस्से में, नीचे वाले पानी लेने ऊपर जाते और पानी लेकर उनके पास से गुज़रते उनको तकलीफ़ होती (उन्होंने उसकी शिकायत की) नीचे वाले ने कुल्हाड़ी लेकर नीचे का तख़्ता काटना शुरूअ़ किया ऊपर वालों ने देखा तो पूछा क्या बात है कि तख़्ता तोड़ रहे हो उसने कहा मैं पानी लेने जाता हूँ तो तुमको तकलीफ़ होती है और पानी लेना मुझे ज़रूरी है (लिहाज़ा मैं तख़्ता तोड़कर यहीं से पानी ले लूँगा और तुम लोगों को तकलीफ़ न दूँगा) पस इस सूरत में अगर ऊपर वालों ने उसका हाथ पकड़ लिया और खोदने से रोक दिया तो उसे भी नजात देंगे और अपने को भी और अगर छोड़ दिया तो उसे भी हलाक किया और अपने को भी। (बुख़ारी)

हदीस (3) क़सम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है या तो अच्छी बात का हुक्म करोगे और बुरी बात से मनअ़ करोगे या अल्लाह तआ़ला तुम पर जल्द अपना अ़ज़ाब भेजेगा फिर दुआ़ करोगे और तुम्हारी दुआ़ क़बूल न होगी।(तिर्मिज़ी)

हदीस (4) जब ज़मीन में गुनाह किया जाये तो जो वहाँ मौजूद है मगर उसे बुरा जानता है, उसकी मिस्ल है जो वहाँ नहीं है और जो वहाँ नहीं है मगर उसपर राज़ी है वह उसकी मिस्ल है जो वहाँ हाज़िर है। (अबूदाऊद)

हदीस (5) हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने फ़रमाया ऐ लोगो! तुम इस आयत को पढ़ते हो।

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾

"ऐ ईमान वालो अपने नफ़्स को लाज़िम पकड़लो गुमराह तुमको ज़रर न पहुँचायेगा जब कि तुम ख़ुद हिदायत पर हो"। (यानी तुम उस आयत से यह समझते होगे कि जब हम ख़ुद हिदायत पर हैं तो गुमराह की गुमराही हमारे लिए मुज़िर नहीं हमको मनअ़ करने की ज़रूरत नहीं) मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना है कि "लोग अगर बुरी बात देखें और उसको न बदलें तो क़रीब है कि अल्लाह तआ़ला उनपर ऐसा अ़ज़ाब भेजेगा जो सब को घेरलेगा"। (इब्ने'माजा, तिर्मिज़ी)

हदीस (6) जिस क़ौम में गुनाह होते हों और लोग बदलने पर क़ादिर हों फिर न बदलें तो क़रीब है कि अल्लाह तआ़ला सब पर अ़ज़ाब भेजे। (अबूदाऊद)

हदीस (7) अच्छी बात का हुक्म करो और बुरी बात से मनअ़ करो यहाँ तक कि जब तुम यह देखो कि बुख़्ल की इताअ़त की जाती है और ख़्वाहिशे नफ़्सानी की पैरवी की जाती है और दुनिया को

दीन पर तर्जीह दी जाती है और हर शख़्स अपनी राय पर घमन्ड करता है और ऐसा अम्र देखो कि तुम्हें उससे चारा न हो तो अपने नफ़्स को लाज़िम करलो यानी खुद को बुरी चीज़ों से बचाओ और अ़वाम के मुआ़मला को छोड़ो। (यानी ऐसे वक़्त में अम्र बिल'मअ़रूफ़ व नही अ़निलमुन्कर ज़रूरी नहीं) तुम्हारे आगे सब्र के दिन आयेंगे जिनमें सब्र करना ऐसा है जैसे मुठ्ठी में अंगारा लेना अ़मल करने वाले के लिये उस ज़माने में पचास शख़्स अ़मल करने वालों का अज्र है। लोगों ने अ़र्ज की या रसूलल्लाह उनमें से पचास का अज्र उस एक को मिलेगा फ़रमाया कि तुममें से पचास की बराबर अज्र मिलेगा (तिर्मिज़ी इब्ने'माजा) पाँचवीं ह़दीस़ में जो आयत ज़िक्र की गई वह इसी मौक़े और वक़्त के लिये है।

ह़दीस़ (8) लोगों की हैबत ह़क़ बोलने से न रोके जब मा'लूम हो तो कहदे। (तिर्मिज़ी)

ह़दीस़ (9) चन्द मख़्स़ूस़ लोगों के अ़मल की वजह से अल्लाह तआ़ला सब लोगों को अ़ज़ाब नहीं करेगा मगर जब कि वहाँ बुरी बात की जाये और वह लोग मनअ़ करने पर क़ादिर हों और मनअ़ न करें तो अब आ़म व ख़ास़ सबको अ़ज़ाब होगा। (शरह सुन्ना)

ह़दीस़ (10) बनी इस्राईल ने जब गुनाह किये उनके उ़लमा ने मनअ़ किया मगर वह बाज़ न आये फिर उ़लमा उनके मज्लिसों में बैठने लगे और उनके साथ खाने, पीने लगे खुदा ने उ़लमा के दिल भी उन्हीं जैसे करदिये और दाऊद व ईसा इब्ने मरयम अ़लैहिमस्सलाम की ज़बान से उन सब पर लअ़्नत की यह उस वजह से कि उन्होंने ना'फ़रमानी की और ह़द से तजावुज़ करते थे। इसके बा'द हुज़ूर ने फ़रमाया खुदा की क़सम तुम या तो अच्छी बात का हुक्म करोगे और बुरी बात से रोकेगे और ज़ालिम के हाथ पकड़लोगे और उनको ह़क़ पर रोकोगे और ह़क़ पर ठहराओगे या अल्लाह तुम सब के दिल एक त़रह़ के कर देगा फिर तुम सब पर लअ़्नत करदेगा जिस त़रह़ उन सब पर लअ़्नत की। (अबू'दाऊद)

ह़दीस़ (11) मैंने शबे मेअ़राज में देखा कि कुछ लोगों के होंट आग की कैंचियों से काटे जाते हैं मैंने पूछा जिब्रील यह कौन लोग हैं कहा यह आपकी उम्मत के वाइज़ हैं जो लोगों को अच्छी बात का हुक्म करते थे और अपने को भूले हुए थे। (शरह सुन्ना)

ह़दीस़ (12) ज़ालिम बादशाह के पास ह़क़ बात बोलना अफ़ज़ल जिहाद है। (इब्ने'माजा)

ह़दीस़ (13) मेरे बा'द में उमरा (अमीर, सरदार) होंगे जिनकी बा'ज़ बातें अच्छी होंगी और बा'ज़ बुरी जिसने बुरी बात से कराहत की वह बरी है और जिसने इन्कार किया वह सलामत रहा लेकिन जो राज़ी हुआ और पैरवी की। (वह हलाक हुआ) (मुस्लिम, अबूदाऊद)

ह़दीस़ (14) मुझसे पहले जिस नबी को खुदा ने किसी उम्मत में मबऊ़स किया उसके लिये उम्मत से ह़वारीईन और अस़ह़ाब हुए जो नबी की सुन्नत लेते और और उसके हुक्म की पैरवी करते फिर उनके बा'द ना'ख़लफ़ लोग पैदा हुए कि कहते वह जो करते नहीं, और करते वह जिसका दूसरों को हुक्म न देते, जिसने हाथ के साथ उनसे जिहाद किया वह मोमिन है और जिसने ज़बान से जिहाद किया वह मोमिन है और जिसने दिल से जिहाद किया वह मोमिन है और उसके बा'द राई के दाना के बराबर ईमान नहीं। (मुस्लिम)

मसाइल फ़िक़्हिया

अम्र बिल'मअ़रूफ़ यह है कि किसी को अच्छी बात का हुक्म देना मस़लन किसी से नमाज़ पढ़ने को कहना और नही अ़निल मुन्कर का मत़लब यह है कि बुरी बातों से मनअ़ करना यह दोनों चीज़ें फ़र्ज़ हैं

क़ुर्आन मजीद में इरशाद फ़रमाया

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

तर्जमाः–"तुम बेहतर हो उन सब उम्मतों में जो लोगों में ज़ाहिर हुईं, भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो"

अहादीस में उसकी बहुत ताकीद आई और उसके ख़िलाफ़ करने की मज़म्मत फ़रमाई।

मसअला.1:– मअ़सियत (गुनाह) का इरादा किया मगर उसको किया नहीं तो गुनाह नहीं बल्कि उसमें भी एक क़िस्म का स़वाब है जबकि यह समझकर बाज़ रहा कि यह गुनाह का काम है, नहीं

करना चाहिए। अहादीस् से ऐसा ही साबित है और अगर गुनाह के काम का बिल्कुल पक्का इरादा कर लिया जिसको अ़ज़्म कहते हैं तो यह भी एक गुनाह है अगर्चे जिस गुनाह का अ़ज़्म किया था उसे न किया हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– किसी को गुनाह करते देखे तो निहायत मतानत और नर्मी के साथ उसे मनअ् करे और उसे अच्छी त़रह समझाये फिर अगर उस त़रीके से काम न चला वह शख़्स बाज़ न आया तो अब सख़्ती से पेश आये उसको सख़्त अल्फ़ाज़ कहे मगर गाली न दे न फ़ह्श लफ़्ज़ ज़बान से निकाले और इससे भी काम न चले तो जो शख़्स हाथ से कुछ कर सकता है करे मस्लन वह शराब पीता है तो शराब बहादे, बर्तन तोड़फोड़ डाले, गाता बजाता है तो बाजे तोड़ डाले। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– अम्र बिल'मअ्रूफ़ की कई सूरतें हैं अगर ग़ालिब गुमान यह है कि उनसे कहेगा तो वह उसकी बात मान लेंगे और बुरी बात से बाज़ आजायेंगे तो अम्र बिल'मअ्रूफ़ वाजिब है उसको बाज़ रहना जाइज़ नहीं और अगर गुमाने ग़ालिब यह है कि वह त़रह त़रह की तोहमत बान्धेंगे और गालियाँ देंगे तो तर्क करना अफ़ज़ल है और अगर यह मा़लूम है कि वह उसे मारेंगे और यह स़ब्र न कर सकेगा या उसकी वजह से फ़ितना व फ़साद पैदा होगा आपस में लड़ाई ठन जायेगी जब भी छोड़ना अफ़ज़ल है और अगर मा़लूम है कि वह मानेंगे नहीं मगर न मारेंगे और न गालियाँ देंगे तो इसे इख़्तियार है और अफ़ज़ल यह है कि अम्र करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– अगर अन्देशा है कि उन लोगों को अम्र बिल'मअ्रूफ़ करेगा तो क़त्ल कर डालेंगे और यह जानते हुए उसे किया और उन लोगों ने मार ही डाला तो यह शहीद हुआ। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– उमरा के ज़िम्मे अम्र बिल'मअ्रूफ़ हाथ से है कि अपनी कुव्वत व सित़वत से उन काम को रोकदें और उ़लमा के ज़िम्मे ज़बान से है कि अच्छी बात करने को और बुरी बात से बाज़ रहने को ज़बान से कहदें और अ़वामुन्नास के ज़िम्मे दिल से बुरा जानना है। (आलमगीरी) उसका मक़सद वही है जो ह़दीस् में फ़रमाया कि जो बुरी बात देखे उसे चाहिए कि अपने हाथ से बदलदे और अगर हाथ से बदलने पर क़ादिर न हो तो ज़बान से बदलदे यानी ज़बान से उसका बुरा होना ज़ाहिर करदे और मनअ् करदे और उसकी भी इस्तित़ाआत न हो तो दिल से बुरा जाने और यह ईमान का सबसे कमज़ोर मरतबा है यहाँ अ़वाम से मुराद वह लोग हैं कि उनमें न हाथ से रोकने की हिम्मत है और न ज़बान से मनअ् करने की जुरअ्त। क़ौम के चौधरी और ज़मींदार वग़ैरा बहुत से अ़वाम ऐसी हैसि्यत रखते हैं कि हाथ से रोक सकते हैं उनपर लाज़िम है कि रोकें ऐसों के लिए फ़क़त़ दिल से बुरा जानना काफ़ी नहीं।

मसअ्ला.6:– अम्र बिल'मअ्रूफ़ के लिये पाँच चीज़ों की ज़रूरत है **अव्वल इल्म** कि जिसे इल्म न हो उस काम को अच्छी त़रह अन्जाम नहीं दे सकता **दोम** इस से मक़सूद रज़ा–ए–इलाही और एअ्ला–ए–कलि'मतुल्लाह हो **सोम** जिसको हुक्म देता है उसके साथ शफ़क़त व मेहरबानी करे नर्मी के साथ कहे **चहारुम** अम्र करने वाला स़ाबिर और बुर्द'बार हो **पन्जुम** यह शख़्स ख़ुद उस बात पर आमिल हो वरना कुर्आन के इस हुक्म का मिस्दाक़ बन जायेगा "क्यों कहते हो वह जिसको तुम ख़ुद नहीं करते" अल्लाह के नज़्दीक नाख़ुशी की बात है यह कि ऐसी बात कहो जिसको ख़ुद न करो और यह भी कुर्आन मजीद में फ़रमाया कि क्या लोगों को तुम अच्छी बात का हुक्म करते हो और ख़ुद अपने को भुले हुए हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– आम शख़्स को यह न चाहिए कि क़ाज़ी या मुफ़्ती या मशहूर व मअ्रूफ़ आ़लिम को अम्र बिल'मअ्रूफ़ करे कि यह बे'अदबी है मस्ल मशहूर है ख़त़ा–ए–बुज़ुर्गान गिरफ़्तन ख़त़ास्त। और कभी ऐसा भी होता है कि यह लोग किसी मस्लेहते ख़ास़ से एक फ़ेअ्ल करते हैं जिस तक अ़वाम की नज़र नहीं पहुँचती और यह शख़्स समझता है कि जैसे हमने किया उन्होंने भी किया ह़ालांकि दोनों में बहुत फ़र्क़ होता है। (आलमगीरी) यह हुक्म उन उ़लमा के मुतअ़ल्लिक़ है जो अह़कामे शरअ् के

पाबन्द हैं और इत्तिफ़ाक़न कभी ऐसी चीज़ ज़ाहिर हुई जो नज़रे अवाम में बुरी मालूम होती है वह लोग मुराद नहीं जो हलाल व हराम की परवाह नहीं करते और नाम इल्म का बदनाम करते हैं।

मसअ्ला.8:– जिसने किसी को बुरा काम करते देखा और खुद यह भी उस बुरे काम को करता है तो इस बुरे काम से मना करदे क्योंकि उसके ज़िम्मे दो चीज़ें वाजिब हैं बुरे काम को छोड़ना और दूसरे को बुरे काम से मना करना अगर एक वाजिब का तारिक है तो दूसरे का क्यों तारिक बने।(आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– एक शख़्स बुरा काम करता है उसके बाप के पास शिकायत लिखकर भेजी जाये या नहीं अगर मालूम है कि उसका बाप मना करने पर क़ादिर है और वह मना भी करदेगा तो लिखकर भेजदे वरना क्या फ़ाइदा इसी तरह ज़ौजैन और बादशाह व रईय्यत या आक़ा व मुलाज़िमीन के बारे में अगर लिखना मुफ़ीद हो तो लिखे। (खानिया)

मसअ्ला.10:– बाप को अन्देशा है कि अगर लड़के से कहेगा तो उसका हुक्म न मानेगा और उसका जी भी कहने को चाहता है तो यूँ कहे अगर यह करते तो ख़ूब होता उसे हुक्म न दे कि उस सूरत में अगर उसने न किया तो आक़ होगा जो एक सख़्त कबीरा गुनाह है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– किसी ने गुनाह किया फिर सच्चे दिल से ताइब होगया तो उसे यह न चाहिए कि क़ाज़ी या हाकिम के पास अपने जुर्म को इस लिए पेश करे कि हद्दे शरअ् क़ाइम की जाये क्योंकि पर्दा पोशी बेहतर है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– एक शख़्स को दूसरे का माल चुराते देखा है मगर मालिक को ख़बर देता है तो चोर उसपर जुल्म करेगा तो ख़ामोश होजाये और यह अन्देशा न हो तो ख़बर करदे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– मुश्रिकीन पर तन्हा हमला करने में ग़ालिब गुमान यह है कि क़त्ल हो जायेगा मगर यह भी ग़ालिब गुमान है कि यह उनके आदमी को क़त्ल करेगा या ज़ख्मी करदेगा या शिकस्त देदेगा तो तन्हा हमला करने में हरज नहीं और ग़ालिब गुमान यह हो कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा और यह मारा जायेगा तो हमला न करे और अगर फ़ुस्साक़ मुस्लिमीन को गुनाह से रोकेगा तो यह खुद क़त्ल होजायेगा और उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा जब भी उनको मनअ् करे अ़ज़ीमत यही है अगर्चे मना न करने की भी रुख़्सत है। (आलमगीरी) क्योंकि इस सूरत में क़त्ल होजाना फ़ाइदे से ख़ाली नहीं इस वक़्त अगर्चे ब'ज़ाहिर फ़ाइदा नहीं मालूम होता मगर आइन्दा उसके नताइज बेहतर निकलेंगे।

इल्म व तालीम का बयान

इल्म ऐसी चीज़ नहीं जिसकी फ़ज़ीलत और ख़ूबियों के बयान करने की हाजत हो सारी दुनिया जानती है कि इल्म बहुत बेहतर चीज़ है उसका हासिल करना तुग़राए इम्तियाज़ (बड़ाई की अ़लामत) यही वह चीज़ है कि उससे इन्सानी ज़िन्दगी कामयाब और ख़ुशगवार होती है और इसी से दुनिया व आख़िरत सुधरती है। मगर हमारी मुराद इस इल्म से वह इल्म नहीं जो फ़लासिफ़ा से हासिल हुआ हो और जिसको इन्सानी दिमाग़ ने इख़्तिराअ् (ईजाद) किया हो या जिस इल्म से दुनिया की तहसील मक़सूद हो ऐसे इल्म की क़ुर्आन मजीद ने मज़म्मत की बल्कि वह इल्म मुराद है जो क़ुर्आन व हदीस से हासिल हो कि यही इल्म वह है जिससे दुनिया व आख़िरत दोनों संवरती हैं और यही इल्म ज़रीआ–ए–निजात है और इसी की क़ुर्आन व हदीस में तअ्रीफ़ें आई हैं और इसी की तअ्लीम की तरफ़ तवज्जोह दिलाई गई है क़ुर्आन मजीद में बहुत से मक़ामात पर उसकी ख़ूबियाँ सराहतन या इशारतन बयान फ़रमाई गईं।

1.इल्म से यह मुराद नहीं कि वह पूरा आलिम हो बल्कि मुराद यह है कि इतना जानता हो कि यह चीज़ गुनाह है और दूसरे को बुरी भली बात समझाने का तरीक़ा मालूम हो कि मुअस्सिर पैराया से उसको कह सके 12 मिन्हु।

2. उस का यह मतलब नहीं कि जो शख़्स खुद आलिम न हो वह दूसरों को अच्छी बात का हुक्म ही न दे बल्कि मक़सद यह है कि वह खुद भी करे और दूसरों को भी करने को कहे 12 मिन्हु

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है।

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ "अल्लाह से उसके बन्दों में वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं"।

और फ़रमाता है।

﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾

"अल्लाह तुम्हारे ईमान वालों के और उनके जिनको इल्म दिया गया है दर्जे बलन्द फ़रमायेगा"

और फ़रमाता है।

﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾

"क्यों न हुआ कि उनके हर गिरोह में से एक जमाअत निकले कि दीन की समझ हासिल करे और वापस आकर अपनी क़ौम को डर सुनाये इस उम्मीद पर कि वह बचें।

और फ़रमाता है।

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ط إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾

"तुम फ़रमाओ क्या जानने वाले और अन्जान बराबर हैं नसीहत तो वही मानते हैं जो अक़्ल वाले हैं"

अहादीस इल्म के फ़ज़ाइल में बहुत आई चन्द अहादीस् ज़िक्र की जाती हैं।

हदीस् (1) जिस शख़्स के साथ अल्लाह तआला भलाई का इरादा करता है उसको दीन का फ़क़ीह बनाता है और मैं तक़सीम करता हूँ और अल्लाह देता है। (बुखारी, मुस्लिम)

हदीस् (2) सोने चाँदी की तरह आदमियों की कानें हैं जो लोग जाहिलियत में अच्छे थे इस्लाम में भी अच्छे हैं जबकि इल्म हासिल करें। (मुस्लिम)

हदीस् (3) इन्सान जब मरजाता है उसका अमल मुन्क़तेअ् होजाता है मगर तीन चीज़ें (कि मरने के बाद भी यह अमल ख़त्म नहीं होते उसके नामा–ए–आमाल में लिखे जाते हैं) **सदक़ा–ए–जारिया** और **इल्म** जिस से नफ़अ् हासिल किया जाता हो और **औलादे सालेह** (नेक औलाद) जो उसके लिये दुआ करती रहती है। (मुस्लिम)

हदीस् (4) जो शख़्स किसी रास्ते पर इल्म की तलब में चले अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत का रास्ता आसान कर देगा और जब कोई क़ौम ख़ानाए ख़ुदा में मुजतमेअ्(इकट्ठा)होकर किताबुल्लाह की तिलावत करे और उसको पढ़े, पढ़ाये तो उसपर सकीना उतरता है और रहमत ढांक लेती है और मलाइका घेर लेते हैं और अल्लाह तआला उनका ज़िक्र उन लोगों में करता है जो उसके मुक़र्रब हैं और जिसके अमल ने सुस्ती की तो उसका नसब उसे तेज़ रफ़्तार नहीं करेगा। (मुस्लिम)

हदीस् (5) मस्जिदे दमिश्क़ में एक शख़्स अबू'दरदा रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया और कहने लगा मैं मदीना–ए–रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अपके पास एक हदीस् सुनने को आया हूँ मुझे ख़बर मिली है कि आप उसे बयान करते हैं किसी और काम के लिये नहीं आया हूँ हज़रत अबूदाऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना है कि "जो शख़्स इल्म की तलब में किसी रास्ते को चले अल्लाह तआला उसको जन्नत के रास्ते पर लेजाता है और तालिबे'इल्म की ख़ुश्नूदी के लिये फ़िरिश्ते अपने बाज़ू बिछा देते हैं और आलिम के लिये आसमान वाले और ज़मीन के बसने वाले और पानी के अन्दर मछलियाँ यह सब इस्तिग़फ़ार करते हैं और आलिम की फ़ज़ीलत आबिद पर ऐसी है जैसे चौदहवीं रात के चाँद को तमाम सितारों पर और बेशक उलमा वारिसे् अम्बिया हैं अम्बिया ने अशर्फ़ी और रूपये का वारिस् नहीं किया उन्होंने इल्म का वारिस् किया पस जिसने इल्म को लिया उसने पूरा हिस्सा लिया"। (अहमद, तिर्मिज़ी, अबूदाऊद व इब्ने माजा, दारमी)

हदीस् (6) आलिम की फ़ज़ीलत आबिद पर वैसी है जैसी मेरी फ़ज़ीलत तुम्हारे अदना पर उसके बाद फिर फ़रमाया कि अल्लाह तआला और उसके फ़िरिश्ते और तमाम आसमान व ज़मीन वाले यहाँ तक कि चींटी अपने सूराख़ में यहाँ तक कि मछली उसकी भलाई के ख़्वाहाँ हैं जो लोगों को अच्छी चीज़ की तालीम देता है। (तिर्मिज़ी)

हदीस् (7) एक फ़क़ीह (दीन के मसाइल का जानने वाला) हज़ार आबिद से ज़्यादा शैतान पर सख़्त है।(तिर्मिज़ी)

हदीस् (8) इल्म की तलब हर मुस्लिम पर फ़र्ज़ है और इल्म को ना'अहल के पास रखने वाला ऐसा है जैसा सुअर के गले में जवाहिर और मोती और सोने का हार डालने वाला। (इब्ने'माजा)

हदीस् (9) जो शख़्स् तलबे इल्म के लिये घर से निकले तो जब तक वापस न हो अल्लाह की राह में है। (तिर्मिज़ी, दारमी)

हदीस् (10) मोमिन कभी ख़ैर (यानी इल्म) से आसूदा नहीं होता यहाँ तक कि उस का मुन्तहा जन्नत होता है। (तिर्मिज़ी)

हदीस् (11) अल्लाह तआला उस बन्दे को खुश रखे जिसने मेरी बात सुनी और याद करली और महफ़ूज़ रखी और दूसरे को पहुँचादी, क्योंकि बहुत से इल्म के हामिल फ़क़ीह नहीं और बहुत से इल्म के हामिल उस तक पहुँचाते हैं, जो उनसे ज़्यादा फ़क़ीह हैं।(अहमद, तिर्मिज़ी, अबूदाऊद व इब्ने'माजा, दारमी)

हदीस् (12) मोमिन को उसके अमल और नेकियों से मरने के बाद भी यह चीज़ें पहुँचती रहती हैं इल्म जिसकी उसने तअ्लीम दी और इशाअत की और औलाद सालेह (नेक औलाद) जिसे छोड़ मरा है, या मुसहफ़ जिसे मीरास् में छोड़ा, या मस्जिद बनाई, या मुसाफ़िर के लिये मकान बनादिया, या नहर जारी करदी, या अपनी सेहत और ज़िन्दगी में अपने माल में से सदक़ा निकाल दिया, जो उस के मरने के बाद उसको मिलेगा। (इब्ने'माजा)

हदीस् (13) हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फ़रमाया कि एक घड़ी रात में पढ़ना पढ़ाना सारी रात इबादत से अफ़ज़ल है। (दारमी)

हदीस् (14) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाये वहाँ दो मज्लिस थीं फ़रमाया कि "दोनों मज्लिसें अच्छी हैं और एक दूसरी से अफ़ज़ल है यह लोग अल्लाह से दुआ करते हैं और उसकी तरफ़ रग़बत करते हैं वह चाहे तो उनको दे और चाहे तो मनअ् करदे और यह दूसरी मज्लिस वाले इल्म सीखते हैं और जाहिल को सिखाते हैं यह अफ़ज़ल हैं, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया" और उसी मज्लिस में हुज़ूर बैठ गये। (दारमी)

हदीस् (15) जिसने मेरी उम्मत के दीन के मुतअल्लिक़ चालीस हदीसें हिफ़्ज़ कीं उसको अल्लाह तआला फ़क़ीह उठायेगा और मैं उसका शाफ़ेअ् व शहीद होंगा। (बैहक़ी)

हदीस् (16) दो हरीस् (लालची) आसूदा नहीं होते एक इल्म का हरीस् कि इल्म से कभी उसका पेट नहीं भरेगा और एक दुनिया का लालची कि यह कभी आसूदा नहीं होगा। (बैहक़ी)

हदीस् (17) अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया दो हरीस् आसूदा नहीं होते एक साहिबे इल्म, दूसरा साहिबे दुनिया मगर यह दोनों बराबर नहीं। साहिबे इल्म अल्लाह की खुशनूदी ज़्यादा हासिल करता रहता है और साहिबे दुनिया सरकशी में बढ़ता जाता है उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह ने यह आयत पढ़ी كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى (हाँ,हाँ बेशक आदमी सरकशी करता है इस पर कि अपने आप को ग़नी समझ लिया) और दूसरे के लिये फ़रमाया اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا (अल्लाह से उसके बन्दों में वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं) (दारमी)

हदीस् (18) जिस इल्म से नफ़ा हासिल न किया जाये वह उस ख़ज़ाने की मिस्ल है जिसमें से राहे खुदा में ख़र्च नहीं किया जाता। (अहमद)

हदीस् (19) सबसे ज़्यादा हसरत क़ियामत के दिन उसको होगी जिसे दुनिया में तलबे इल्म का मौक़ा मिला मगर उसने तलब नहीं की और उस शख़्स् को होगी जिसने इल्म हासिल किया और उससे सुनकर दूसरों ने नफ़अ् उठाया खुद उसने नफ़ा नहीं उठाया। (इब्ने'असाकर)

हदीस् (20) उलमा की स्याही शहीद के ख़ून से तोली जायेगी और उस पर ग़ालिब होजायेगी(ख़तीब)

हदीस् (21) उलमा की मिसाल यह है कि जैसे आसमान में सितारे जिनसे खुश्की और समन्दर की तारीकों में रास्ते का पता चलता है और अगर सितारे मिट जायें तो रास्ता चलने वाले भटक जायेंगे(अहमद)

हदीस (22) इल्म तीन हैं, आयते मुहकमा या सुन्नते काइमा या फरीज़ा–ए–आदिला और उनके सिवा जो कुछ है वह ज़ाइद है। (इब्ने माजा, अबूदाऊद)

हदीस (23) हज़रत हसन बसरी ने फ़रमाया इल्म दो हैं एक वह कि क़ल्ब में हो यह इल्म नाफ़अ् (फ़ायदा देने वाला) है दूसरा वह कि ज़बान पर हो यह इब्ने आदम पर अल्लाह की हुज्जत है।(दारमी)

हदीस (24) जिसने इल्म तलब किया और हासिल करलिया उसके लिये दो चन्द अज्र हैं और हासिल न हो तो एक अज्र।(दारमी)

हदीस (25) जिसको मौत आगई और वह इल्म को इस लिये तलब कर रहा था कि इस्लाम का एहया (ज़िन्दा) करे उसके और अम्बिया के दरम्यान जन्नत में एक दर्जे का फ़र्क़ होगा। (दारमी)

हदीस (26) अच्छा शख़्स वह आलिमे दीन है कि अगर उसकी तरफ़ एहतियाज लाई जाये तो नफ़ा पहुँचाता है और उससे बे परवाही की जाये तो वह अपने को बे परवाह रखता है। (रज़ीन)

हदीस (27) हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया जिसको कोई बात मालूम है वह कहे और न मालूम हो तो यह कहदे कि अल्लाहु अअ्लमु (अल्लाह ज़्यादा जानता है) क्योंकि इल्म की शान यह है कि जिस चीज़ को न जानता हो उसके मुतअल्लिक़ यह कहदे अल्लाहु अअ्लमु। अल्लाह तआला ने अपने नबी से फ़रमाया

﴿قُلْ مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّ مَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ﴾

"मैं तुमसे उस पर उजरत नहीं मांगता और न मैं तकल्लुफ़ करने वालों से हूँ।"

यानी जो बात मालूम न हो उसके मुतअल्लिक़ बोलना तकल्लुफ़ है। (बुख़ारी, मुस्लिम)

हदीस (28) क़ियामत के दिन अल्लाह के नज़्दीक सबसे बुरा मरतबा उस आलिम का है जो इल्म से मुन्तफ़ेअ् न हो (फ़ायदा न उठाये)। (दारमी)

हदीस (29) ज़ियाद इब्ने लबीद रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक चीज़ ज़िक्र करके फ़रमाया कि यह उस वक़्त होगी जब इल्म जाता रहेगा मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह इल्म क्योंकर जायेगा हम कुर्आन पढ़ते हैं और अपने बेटों को पढ़ाते हैं वह अपनी औलाद को पढ़ायेंगे उसी तरह क़ियामत तक सिल्सिला जारी होगा हुज़ूर ने फ़रमाया ज़ियाद "तुझे तेरी माँ रोये मैं ख़याल करता था कि तू मदीने में फ़क़ीह शख़्स है क्या यह यहूद व नसारा तौरात व इन्जील नहीं पढ़ते, मगर है यह कि जो कुछ उनमें है उसपर अमल नहीं करते" (अहमद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस (30) हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कअ्ब अहबार से पूछा अरबाबे इल्म कौन हैं कहा वह जो जानते हैं उसपर अमल करते हैं। फ़रमाया किस चीज़ ने उलमा के कुलूब से इल्म को निकाल दिया कहा तमअ् ने। (यानी लालच ने) (दारमी)

हदीस (31) मेरी उम्मत में कुछ लोग कुर्आन पढ़ेंगे और यह कहेंगे कि हम उमरा (मालदारों) के पास जाकर वहाँ से दुनिया हासिल करलें और अपने दीन को उनसे बचाये रखेंगे मगर ऐसा नहीं होगा जिस तरह क़ताद (एक कांटे वाला दरख़्त है) से नहीं लिया जाता मगर कांटा उसी तरह उमरा के कुर्ब से सिवा ख़ता के कुछ हासिल नहीं। (इब्ने माजा)

हदीस (32) ख़ुदा के नज़्दीक बहुत मबग़ूज़ कुर्रा(उलमा)वह हैं जो उमरा की मुलाक़ात को जाते हैं(इब्ने माजा)

हदीस (33) अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया कि अगर अहले इल्म, इल्म की हिफ़ाज़त करें और उसको अहल के पास रखें तो उसकी वजह से अहले ज़माना के सरदार होजायें मगर उन्होंने इल्म को दुनिया वालों के लिये ख़र्च किया ताकि उनसे दुनिया हासिल करें लिहाज़ा उनके सामने ज़लील होगये। मैंने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना है "जिसने तमाम फ़िक्रों को एक फ़िक्रे आख़िरत की फ़िक्र कर दिया, अल्लाह तआला फ़िक्रे दुनिया से उसकी किफ़ायत फ़रमायेगा और जिसके लिये अहवाले दुनिया की फ़िक्रें मुतफ़र्रिक़ रहीं अल्लाह को उसकी कुछ परवाह नहीं कि वह किस वादी में हलाक हुआ।(इब्ने माजा)

हदीस (34) जिससे इ़ल्म की कोई बात पूछी गई और उसने नहीं बताई उसके मुँह में कि़यामत के दिन आग की लगाम लगादी जायेगी। (अहमद व अबूदाऊद व तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस (35) जिसने इ़ल्म को इस लिये त़लब किया कि उ़लमा से मुका़बला करेगा या जाहिलों से झगड़ा करेगा इसलिये कि लोगों को अपनी त़रफ़ मुतवज्जेह करेगा, अल्लाह तआ़ला उसे जहन्नम में दाखि़ल कर देगा। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा)

हदीस (36) जो इ़ल्म अल्लाह तआ़ला की रज़ा हासि़ल करने के लिये है (यानी इल्मे दीन) उसको जो शख़्स़ इस लिये हासि़ल करे कि मताए़ दुनिया (दुनिया का सामान) मिलजाये उसको कि़यामत के दिन जन्नत की ख़ुश्बू नहीं मिलेगी। (अहमद व अूदाऊद व इब्ने माजा)

हदीस (37) वअ़ज़ नहीं कहता, मगर अमीर या मामूर या मुतकब्बिर यानी वअ़ज़ कहना अमीर का काम है या वह किसी को हुक्म करदे कि वह कहे और उनके सिवा जो कोई कहता है वह त़लबे जाह व त़लबे दुनिया के लिये है। (अबूदाऊद)

हदीस (38) जिसको बिग़ैर इ़ल्म फ़तवा दिया गया तो उसका गुनाह उस फ़तवा देने वाले पर है और जिसने अपने भाई को मशवरा दिया और यह जानता है कि भलाई उसके ग़ैर में है उसने ख़्यानत की। (अबूदाऊद)

हदीस (39) रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने आसमान की त़रफ़ नज़र उठाई फिर यह फ़रमाया कि यह वह वक़्त है कि लोगों से इ़ल्म जुदा करदिया जायेगा यहाँ तक कि इ़ल्म की किसी बात पर का़दिर नहीं होंगे। (तिर्मिज़ी)

हदीस (40) अल्लाह तआ़ला इ़ल्म को इस त़रह नहीं क़ब्ज़ करेगा कि लोगों के सीनों से जुदा करले बल्कि इ़ल्म का क़ब्ज़ करना उ़लमा के क़ब्ज़ करने से होगा जब आ़लिम बाकी़ न रहेंगे जाहिलों को लोग सरदार बनालेंगे, वह बिग़ैर इ़ल्म फ़तवा देंगे, ख़ुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंग। (बुख़ारी, मुस्लिम)

हदीस (41) बदतर से बदतर बुरे उ़लमा हैं और बेहतर से बेहतर अच्छे उ़लमा हैं। (दारमी)

हदीस (42) इ़ल्म की आफ़त निस्यान (भूल) है और ना'अहल से इ़ल्म की बात कहना इ़ल्म को ज़ाइअ़ करना है। (दारमी)

हदीस (43) इब्ने सीरीन ने फ़रमाया यह इ़ल्मे दीन है तुम्हें देखना चाहिए कि किससे अपना दीन लेते हो।

मसअ्ला.1:– अपने बच्चे को कु़र्आन व इ़ल्म पढ़ने पर मजबूर कर सकता है, यतीम बच्चे को उस चीज़ पर मार सकता है जिस पर अपने बच्चे को मारता है। (रद्दुल'मुहतार) क्योंकि अगर यतीम बच्चे को मुत़लकु़ल'इ़नान (यानी बिल्कुल आज़ाद) छोड़दिया जाये तो इ़ल्म व अदब से बिल्कुल कोरा रह जायेगा और उ़मूमन बच्चे बिग़ैर तम्बीह का़बू में नहीं आते और जब तक उन्हें ख़ौफ़ न हो कहना नहीं मानते मगर मारने का मक़सद स़ही़ह होना ज़रूर है ऐसे ही मौका़ पर फ़रमाया गया।

وَاللّٰہُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ "अल्लाह को मालूम है कि कौन मुफ़सिद है और कौन मुसलेह"

इसी त़रह असातिज़ा भी बच्चों को न पढ़ने या शरारत करने पर सज़ायें दे सकते हैं मगर वह कुल्लिया उनके पेशे नज़र भी होना चाहिए कि अपना बच्चा होता तो उसे भी इतनी ही सज़ा देते बल्कि ज़ाहिर तो यह है कि हर शख़्स़ को अपने बच्चे की तर्बियत व तअ़्लीम का जितना ख़याल होता है दूसरे का उतना ख़्याल नहीं होता तो अगर इस काम पर अपने बच्चे को न मारा या कम मारा और दूसरे बच्चे को ज़्यादा मारा तो मा़लूम हुआ कि यह मारना महज़ ग़ुस़्सा उतारने के लिये है सुधारना मक़सूद नहीं वरना अपने बच्चे के सुधारने का ज़्यादा ख़याल होता।

मसअ्ला.2:– आ़लिम अगर्चे जवान हो बूढ़े जाहिल पर फ़ज़ीलत रखता है लिहाज़ा चलने और बैठने में गुफ़्तुगू करने में बूढ़े जाहिल को आ़लिम पर तक़द्दुम करना न चाहिए यानी बात करने का मौका़

हो तो उससे पहले कलाम यह न शुरूअ् करे न आलिम से आगे चले न मुमताज़ जगह पर बैठे, आलिम ग़ैर क़र्शी, क़र्शी ग़ैर आलिम पर फ़ज़ीलत रखता है। आलिम का हक़ ग़ैर आलिम पर वैसा ही है जैसा उस्ताज़ का हक़ शागिर्द पर है। आलिम अगर कहीं चला भी जाये तो उसकी जगह पर ग़ैर आलिम को बैठना न चाहिए। शौहर का हक़ औरत पर इस से भी ज़्यादा है कि औरत को शौहर की हर ऐसी चीज़ में जो मुबाह हो ताअत करनी पड़ेगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– दीने हक़ की हिमायत के लिये मुनाज़रा करना जाइज़ है बल्कि इबादत है और अगर इस लिये मुनाज़रा करता है कि किसी मुस्लिम को मग़लूब करदे या इस लिये कि उसका आलिम होना लोगों पर ज़ाहिर होजाये या दुनिया हासिल करना मक़सूद है माल मिलेगा या लोगों में मक़बूलियत हासिल होगी यह ना'जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– मुनाज़रे में अगर मुनाज़िर तलबे हक़ के लिये मुनाज़रा करता है या उसका यह मक़सूद नहीं मगर बेजा ज़िद और हट नहीं करता इन्साफ़ पसन्दी से काम लेता है जब तो उसके साथ हीला करना जाइज़ नहीं और अगर महज़ उसका मक़सूद ही यह है कि अपने मुक़ाबिल को मग़लूब करदे और हरादे जैसाकि इस ज़माने में अकस्र बद'मज़हब इसी क़िस्म का मुनाज़रा करते हैं तो उसके मक्र और दाव से अपने को बचाना ही चाहिए ऐसे मौक़े पर उसके कैद (दाव) से बचने की तर्कीबें कर सकते हैं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– मिम्बर पर चढ़कर वअ्ज़ व नसीहत करना अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है और अगर तज़कीर व वअ्ज़ से माल व जाह मक़सूद हो तो यह यहूद व नसारा का तरीक़ा है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– वअ्ज़ कहने में बे'अस्ल बातें बयान कर देना मस्लन अहादीस् में अपनी तरफ़ से कुछ जुमले मिलादेना या उनमें कुछ ऐसी कमी कर देना जिससे हदीस् के मअ्ना बिगड़ जायें जैसाकि इस ज़माने के अकस्र मुक़र्रिरीन की तक़रीरों में ऐसी बातें ब'कस्रत पाई जाती हैं कि मजमा पर अस्र डालने के लिये ऐसी हरकतें कर डालते हैं ऐसी वअ्ज़'गोई ममनूअ् है। इसी तरह यह भी ममनूअ् है कि दूसरों को नसीहत करता है और खुद उन बातों में आलूदा है उसको सबसे पहले अपनी ज़ात को नसीहत करनी चाहिए और अगर वाइज़ ग़लत बातें बयान नहीं करता और न उस क़िस्म कर कमी बेशी करता है बल्कि अल्फ़ाज़ व तक़रीर में लताफ़त और शिस्तगी का ख़याल रखता है ताकि अस्र अच्छा पड़े लोगों पर रिक़्क़त तारी हो और क़ुर्आन व हदीस के फ़वाइद और निकात को शरह व बस्त के साथ बयान करता है तो यह अच्छी चीज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– मुअल्लिम ने बच्चों से कहा कि तुम लोग अपने अपने घरों से चटाई के लिये पैसे लाओ पैसे इकट्ठे हुए कुछ पैसों की चटाईयाँ लाया और कुछ खुद रखलिये जो अपने काम में सर्फ़ करेगा ऐसा कर सकता है क्योंकि बच्चों के बाप वग़ैरा इस क़िस्म के पैसे इस ग़र्ज़ से देते हैं कि बच रहेगा तो वह मियाँजी का होगा वह हरगिज़ उम्मीदवार नहीं रहते कि जो कुछ बचेगा वापस मिलेगा और जान'बूझकर उससे ज़्यादा दिया करते हैं जितने की ज़रूरत है उससे मालूम होता है कि उनका मक़सद इस रक़म ज़ाइद की तमलीक (मालिक बनादेना) है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.8:– आलिम अगर अपना आलिम होना लोगों पर ज़ाहिर करे तो इसमें हरज नहीं मगर यह ज़रूर है कि तफ़ाख़ुर के तौर पर यह इज़्हार न हो कि तफ़ाख़ुर हराम है बल्कि महज़ तहदीसे् नेअ्मते इलाही के लिये यह इज़्हार हो और यह मक़सद हो कि जब लोगों को ऐसा मअ्लूम होगा तो इस्तिफ़ादा करेंगे कोई दीन की बात पूछेगा और कोई पढ़ेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– तलबे इल्म अगर अच्छी नियत से हो तो हर अमले ख़ैर से यह बेहतर है क्योंकि उस का नफ़अ् सबसे ज़्यादा है मगर यह ज़रूरी है कि फ़राइज़ की अन्जाम देही में ख़लल व नुक़सान न हो। अच्छी नियत का यह मतलब है कि रज़ा–ए–इलाही और आख़िरत के लिये इल्म सीखे तलबे दुनिया व तलबे जाह न हो और तालिब का अगर मक़सद यह हो कि मैं अपने से जिहालत को दूर

करूँ और मख़्लूक़ को नफ़अ़ पहुँचाऊं या पढ़ने से मक़सूद इल्म का एहया (ज़िन्दा रखना) है मस्लन लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है मैं भी न पढ़ूँ तो इल्म मिट जायेगा यह नियतें भी अच्छी हैं और अगर तसहीहे नियत पर क़ादिर न हो जब भी न पढ़ने से पढ़ना अच्छा है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– आ़लिम व मुतअ़ल्लिम को इल्म में बुख़्ल न करना चाहिए मस्लन उस से आ़रियत के तौर पर कोई किताब मांगी या उससे कोई मसअ्ला समझना चाहे तो इन्कार न करे किताब देदे मसअ्ला समझादे। हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु फ़रमाते हैं जो शख़्स इल्म में बुख़्ल करेगा तीन बातों में से किसी में मुब्तला होगा या वह मरजायेगा और उसका इल्म जाता रहेगा या बादशाह की तरफ़ से बला में मुब्तला होगा, या इल्म भूल जायेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– आ़लिम व मुतअ़ल्लिम को इल्म की तौक़ीर करनी चाहिए यह न हो कि ज़मीन पर किताबें रखे, पाख़ाना पेशाब के बाद किताबें छूना चाहे तो वुज़ू कर लेना मुस्तहब है, वुज़ू न करे तो हाथ ही धोले, अब किताबें छुये और यह भी चाहिए कि ऐश'पसन्दी में न पड़े खाने, पहनने, रहने, सहने, में मअ़मूली हालत इख़्तियार करे। औरतों की तरफ़ ज़्यादा तवज्जोह न रखे, मगर यह भी न हो कि इतनी कमी करदे कि तक़लीले ग़िज़ा और कम ख़्वाबी में अपनी जिस्मानी हालत ख़राब करदे और अपने को कमज़ोर करदे कि ख़ुद अपने नफ़्स का भी हक़ है और बीवी बच्चों का भी हक़ है सब का हक़ पूरा करना चाहिए। आ़लिम व मुतअ़ल्लिम को यह भी चाहिए कि लोगों से मेल जोल कम रखें और फ़ुज़ूल बातों में न पड़ें और पढ़ने पढ़ाने का सिल्सिला बराबर जारी रखें, दीनी मसाइल में मुज़ाकरा करते रहें, कुतुब बीनी करते रहें, किसी से झगड़ा होजाये तो नर्मी और इन्साफ़ से काम लें, जाहिल और उसमें उस वक़्त भी फ़र्क़ होना चाहिए। (आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– उस्ताज़ का अदब करे उसके हुक़ूक़ की मुहाफ़ज़त करे और माल से उसकी ख़िदमत करे और उस्ताद से कोई ग़ल्ती होजाये तो उसमें पैरवी न करे। उस्ताज़ का हक़ माँ, बाप और दूसरे लोगों से ज़्यादा जाने उसके साथ तवाज़ोअ़ से पेश आये जब उस्ताज़ के मकान पर जाये तो दरवाज़े पर दस्तक न दे बल्कि उसके बर'आमद होने का इन्तिज़ार करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– ना'अहलों को इल्म न पढ़ाये और जो उसके अहल हों उनकी तअ़लीम से इन्कार न करे कि ना'अहलों का पढ़ाना इल्म को ज़ाइअ़ करना है और अहल को न पढ़ाना ज़ुल्म व जोर है।(आलमगीरी) ना'अहल से मुराद वह लोग हैं जिनकी निस्बत मा़लूम है कि इल्म के हुक़ूक़ को महफ़ूज़ न रख सकेंगे पढ़कर छोड़देंगे जाहिलों के'से अफ़आ़ल करेंगे या लोगों को गुमराह करेंगे या उ़लमा को बदनाम करेंगे।

मसअ्ला.14:– मुअ़ल्लिम अगर स्वाब हासिल करना चाहता है तो पाँच बातें उस पर लाज़िम हैं (1)तअ़लीम पर उजरत लेना शर्त न करे अगर कोई ख़ुद कुछ देदे तो लेले वरना कुछ न कहे (2)बा'वज़ू रहे (3)ख़ैर ख़्वाहाना तअ़लीम दे तवज्जोह के साथ पढ़ाये (4)लड़कों में झगड़ा हो तो अ़द्ल व इन्साफ़ से काम ले यह न हो कि मालदारों के बच्चों की तरफ़ ज़्यादा तवज्जोह करे और ग़रीबों के बच्चों की तरफ़ कम। (5)बच्चों को ज़्यादा न मारे मारने में हद से तजावुज़ करेगा तो क़ियामत के रोज़ मुहासबा देना पड़ेगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– एक शख़्स ने नमाज़ वग़ैरा के मसाइल इस लिये सीखे कि दूसरे लोगों को सिखाये, बतायेगा और **दूसरे ने** इस लिये सीखे कि उनपर ख़ुद अ़मल करेगा पहला शख़्स इस दूसरे से अफ़ज़ल है। (दुर्रेमुख़्तार) यानी जब कि पहले का यह मक़सद हो कि अ़मल भी करेगा और तअ़लीम भी देगा या यह कि महज़ तहसीले इल्म में अव्वल को दूसरे पर फ़ज़ीलत है क्योंकि पहले का मक़सद दूसरों को फ़ाइदा पहुँचाना और दूसरे का मक़सद सिर्फ़ अपने को फ़ाइदा पहुँचाना है।

मसअ्ला.16:– घड़ी भर इल्मे दीन के मसाइल में मुज़ाकरा और गुफ़्तगू करना सारी रात इबादत करने से अफ़ज़ल है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.17:– कुछ क़ुर्आन मजीद याद कर चुका है और उसे फ़ुरसत है तो अफ़ज़ल यह है कि

इल्म फ़िक़्ह सीखे कि कुर्आन मजीद हिफ़्ज़ करना फ़र्ज़े किफ़ाया है और फ़िक़्ह की ज़रूरी बातों का जानना फ़र्ज़ेऐन है। (रद्दुलमुहतार)

रिया व सुमआ़ का बयान

रिया यानी दिखावे के लिए काम करना और सुमआ़ यानी इस लिये काम करना कि लोग सुनेंगे और अच्छा जानेंगे यह दोनों चीज़ें बहुत बुरी हैं उनकी वजह से इबादत का सवाब नहीं मिलता बल्कि गुनाह होता है और यह शख़्स मुस्तहक़े अ़ज़ाब होता है।

कुर्आन मजीद में इरशाद हुआ।

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْاَذٰى كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ﴾

"ऐ ईमान वालो अपने स़दकात को एहसान जताकर और अज़ियत देकर बातिल न करो उस शख़्स की तरह जो दिखावे के लिये माल ख़र्च करता है"।

और इरशाद हुआ

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖۤ اَحَدًا﴾

"जिसे अपने रब से मिलने की उम्मीद हो उसे चाहिए कि नेक काम करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करे"

इस की तफ़सीर में मुफ़स्सेरीन ने यह लिखा है कि रिया न करे कि वह एक क़िस्म का शिर्क है।

और फ़रमाता है।

﴿فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤن ويمنعون الماعون﴾

"वैल है उन नमाज़ियों के लिये जो नमाज़ से गफ़लत करते हैं, जो रिया करते हैं और बरतने की चीज़ मांगे नहीं देते हैं"

﴿فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ﴾

अल्लाह की इबादत इस तरह कर कि दीन को उस के लिये ख़ालिस कर, आगाह हो जाओ कि दीन ख़ालिस अल्लाह के लिये है।

और फ़रमाता है।

﴿وَ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ مَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا﴾

"और जो लोग अपने माल लोगों को दिखाने के लिये ख़र्च करते हैं और न अल्लाह पर ईमान लाते हैं और न पिछले दिन पर और जिसका साथी शैतान हुआ तो बुरा साथी हुआ"।

अहादीस़ उसकी मज़म्मत में बहुत हैं बाज़ ज़िक्र की जाती हैं।

ह़दीस़ (1) इब्ने माजा ने अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं हम लोग मसीह़ दज्जाल का ज़िक्र कर रहे थे कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ लाये और यह फ़रमाया कि "मैं तुम्हें ऐसी चीज़ की ख़बर न दूँ जिसका मसीह़ दज्जाल से भी ज़्यादा मेरे नज़्दीक तुम पर ख़ौफ़ है" हमने कहा हाँ या रसूलल्लाह इरशाद फ़रमाया "वह शिर्के ख़फ़ी है आदमी नमाज़ पढ़ने खड़ा होता है और इस वजह से ज़्यादा करता है कि यह देखता है कि दूसरा शख़्स़ उसे नमाज़ पढ़ते देख रहा है"।

ह़दीस़ (2) इमाम अह़मद ने मुह़म्मद इब्ने लबीद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिस चीज़ का तुम पर ज़्यादा ख़ौफ़ है वह शिर्के अस़ग़र है"। लोगों ने अ़र्ज़ की शिर्के अस़ग़र क्या चीज़ है इरशाद फ़रमाया कि रिया है बैहक़ी ने इस ह़दीस़ में इतना ज़्यादा किया कि जिस दिन बन्दों के अअ़्माल का बदला दिया जायेगा रिया करने वालों से अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा उनके पास जाओ जिनके दिखावे के लिये काम करते थे जाकर देखो कि वहाँ तुम्हें कोई बदला और ख़ैर मिलता है"।

ह़दीस़ (3) इमाम अह़मद व तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने अबूसईद इब्ने अबी फ़ज़ाला रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब अल्लाह तआ़ला तमाम अव्वलीन व आख़िरीन को उस दिन जमअ़ फ़रमायेगा जिसमें शक नहीं तो एक मुनादी निदा करेगा जिसने कोई काम अल्लाह के लिये किया और उसमें किसी को शरीक कर लिया वह अपने अ़मल का सवाब उसी शरीक से त़लब करे क्योंकि अल्लाह तआ़ला शिर्क से बिल्कुल बेनियाज़ है"।

ह़दीस़ (4) स़हीह मुस्लिम में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु

तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया "मैं तमाम शुरका में शिरकत से बे'नियाज़ हूँ, जिसने कोई अ़मल किया और उसमें मेरे साथ दूसरे को शरीक किया, मैं उसको शिर्क के साथ छोड़ दूँगा"। यानी उसका कुछ स़वाब न दूँगा और एक रिवायत में है कि फ़रमाता है "मैं उससे बरी हूँ, वह उसी के लिये है जिसके लिये अ़मल किया"।

ह़दीस़ (5) स़ह़ीह़ मुस्लिम में अबूहुरैरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "अल्लाह तआ़ला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे अम्वाल की त़रफ़ नज़र नहीं फ़रमाता वह तुम्हारे और तुम्हारे दिल और तुम्हारे अअ़्माल की त़रफ़ नज़र करता है"।

ह़दीस़ (6) स़ह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में जुन्दुब यानी अबूज़र रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो सुनाने के लिये काम करेगा अल्लाह तआ़ला उसको सुनायेगा यानी उसकी सज़ा देगा और जो रिया करेगा अल्लाह तआ़ला उसे रिया की सज़ा देगा"।

ह़दीस़ (7) ति़ब्रानी व हाकिम ने इब्ने उ़मर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "रिया का अदना मरतबा भी शिर्क है और तमाम बन्दों में खुदा के नज़्दीक वह ज़्यादा महबूब हैं जो परहेज़गार हैं जो छुपे हुए हैं अगर वह ग़ायब हों तो उन्हें कोई तलाश न करे और गवाही दें तो पहचाने न जायें वह लोग हिदायत के इमाम और इल्म के चिराग़ हैं"।

ह़दीस़ (8) इब्ने माजा ने रिवायत की कि एक रोज़ ह़ज़रत उ़मर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लेगये। मआ़ज़ रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु को क़ब्रे नबी करीम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के पास रोता हुआ पाया ह़ज़रत उ़मर ने फ़रमाया क्यों रोते हो ह़ज़रत मआ़ज़ ने कहा एक बात मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से सुनी थी वह मुझे रुलाती है मैंने हुज़ूर को यह फ़रमाते सुना कि थोड़ासा रिया भी शिर्क है, और जो शख़्स़ अल्लाह के वली से दुश्मनी करे वह अल्लाह से लड़ाई करता है, अल्लाह तआ़ला नेकों, परहेज़गारों, छुपे हुओं को दोस्त रखता है वह कि ग़ाइब हों तो ढुंडे न जायें, ह़ाज़िर हों तो बुलाये न जायें और उनको नज़्दीक न किया जाये, उनके दिल हिदायत के चिराग़ हैं, हर गुबार आलूद तारीक से निकल जाते हैं यानी मुश्किलात और बलाओं से अलग होते हैं।

ह़दीस़ (9) इमाम बुख़ारी ने अबू'तमीमा से रिवायत की कहते हैं कि स़फ़वान और उनके साथियों के पास मैं ह़ाज़िर था जुन्दुब उनको नसी़ह़त कर रहे थे उन्होंने कहा तुमने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से कुछ सुना हो तो बयान करो जुन्दुब रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने कहा मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना "जो सुनाने के लिये अ़मल करेगा अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन उसे सुनायेगा यानी सज़ा देगा और जो मशक़्क़त डालेगा अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन उसपर मशक़्क़त डालेगा उन्होंने कहा हमें वसि़यत कीजिये फ़रमाया सबसे पहले इन्सान का पेट सड़ेगा लिहाज़ा जिससे होसके कि पाकीज़ा माल के सिवा कुछ न खाये वह यही करे और जिससे होसके कि उसके और जन्नत के दरम्यान चुल्लू भर ख़ून ह़ाइल न हो वह यह करे यानी किसी को नाह़क़ क़त्ल न करे"।

ह़दीस़ (10) इमाम अह़मद ने शद्दाद इब्ने औस से रिवायत की कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना कि "जिसने रिया के साथ नमाज़ पढ़ी उसने शिर्क किया और जिसने रिया के साथ रोज़ा रखा उसने शिर्क किया और जिसने रिया के साथ सदक़ा दिया उस ने शिर्क किया"।

ह़दीस़ (11) इमाम अह़मद ने शद्दाद इब्ने औस रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि यह रोए किसी ने पूछा क्यों रोते हैं कहा कि एक बात मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से सुनी थी वह याद आगई उसने मुझे रुला दिया हुज़ूर को मैंने यह फ़रमाते सुना कि "मैं अपनी

उम्मत पर शिर्क और शहवते खुफ़िया का अन्देशा करता हूँ मैंने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह क्या अपकी उम्मत आपके बाद शिर्क करेगी फ़रमाया हाँ मगर वह लोग आफ़ताब व माहताब और पत्थर और बुत को नहीं पूजेंगे बल्कि अपने अअ्माल में रिया करेंगे और शहवते खुफ़्या यह कि सुबह को रोज़ा रखेगा फिर किसी ख़्वाहिश से रोज़ा तोड़ देगा।

हदीस (12) इमाम अहमद व मुस्लिम व निसाई ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "सबसे पहले क़ियामत के दिन एक शख़्स का फ़ैसला होगा जो शहीद हुआ है वह हाज़िर किया जायेगा अल्लाह तआ़ला अपनी नेअ्मतें दरयाफ़्त करेगा वह नेअ्मतों को पहचानेगा यानी इक़रार करेगा इरशाद फ़रमायेगा कि उन नेअ्मतों के मुक़ाबिल में तूने क्या अ़मल किया है वह कहेगा मैंने तेरी राह में जिहाद किया यहाँ तक कि शहीद हुआ अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा तू झूटा है तूने इस लिये क़िताल किया था कि लोग तुझे बहादुर कहें सो कहलिया गया हुक्म होगा उसको मुँह के बल घसीटकर जहन्नम में डालदिया जायेगा और एक वह शख़्स जिसने इल्म पढ़ा और पढ़ाया और क़ुर्आन पढ़ा वह हाज़िर किया जायेगा उससे नेअ्मतों को दरयाफ़्त करेगा वह नेअ्मतों को पहचानेगा फ़रमायेगा उन नेअ्मतों के मुक़ाबिल में तूने क्या अ़मल किया है कहेगा मैंने तेरे लिए इल्म सीखा और सिखाया और क़ुर्आन पढ़ा, फ़रमायेगा तू झूठा है तूने इल्म इस लिये पढ़ा कि तुझे आ़लिम कहा जाये और क़ुर्आन इस लिये पढ़ा कि तुझे क़ारी कहा जाये सो तुझे कह लिया गया हुक्म होगा मुँह के बल घसीटकर जहन्नम में डालदिया जायेगा। फिर एक तीसरा शख़्स लाया जायेगा जिसको ख़ुदा ने वुस्अ़त दी है और हर क़िस्म का माल दिया है उससे अपनी नेअ्मतें दरयाफ़्त फ़रमायेगा वह नेअ्मतों को पहचानेगा फ़रमायेगा तूने उनके मुक़ाबिल क्या किया अ़र्ज़ क़रेगा मैंने कोई रास्ता ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें ख़र्च करना तुझे महबूब है मगर मैंने उसमें तेरे लिये ख़र्च किया फ़रमायेगा तू झूटा है तूने इस लिये ख़र्च किया कि सख़ी कहा जाये सो कह लिया गया उसके मुतअ़ल्लिक़ भी हुक्म होगा मुँह के बल घसीटकर जहन्नम में डालदिया जायेगा"।

हदीस (13) बुख़ारी ने तारीख़ में और तिर्मिज़ी ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अल्लाह की पनाह मांगो 'जब्बुलहुज़्न' से यह जहन्नम में एक वादी है कि जहन्नम भी हर रोज़ चार सौ मरतबा इससे पनाह मांगता है इसमें क़ारी दाख़िल होंगे जो अपने अअ्माल में रिया करते हैं और ख़ुदा के बहुत ज़्यादा मबग़ूज़ वह क़ारी हैं जो उमरा की मुलाक़ात को जाते हैं"।

हदीस (14) तिब्रानी औसत में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो शख़्स आख़िरत के अ़मल से आरास्ता हो और वह न आख़िरत का इरादा करता है न आख़िरत का त़ालिब है उसपर आसमान व ज़मीन में लअ़नत है"।

हदीस (15) हकीम ने इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "मेरी उम्मत में शिर्क चींटी की चाल से भी ज़्यादा मख़्फ़ी है जो चिकने पत्थर पर चलती है"।

हदीस (16) इमाम अहमद व तिब्रानी ने अबूमूसा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "ऐ लोगो! शिर्क से बचो क्योंकि वह चींटी की चाल से भी ज़्यादा पोशीदा है लोगों ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह किस त़रह शिर्क से बचें इरशाद फ़रमाया कि यह दुआ पढ़ो"।

﴾اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ اَنْ نُّشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَّعْلَمُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهٗ﴿

"इलाही हम तेरी पनाह मांगते हैं उनसे कि जानकर हम तेरे साथ किसी चीज़ को शरीक करें और हम उससे इस्तिग़फ़ार करते हैं जिसको नहीं जानते"।

हदीस (17) तिबरानी ने अ़दी बिन हातिम रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "कुछ लोगों को जन्नत का हुक्म होगा जब जन्नत के

क़रीब पहुँच जायेंगे और उसकी ख़ुश्बू सूंघेंगे और महल और जो कुछ जन्नत में अल्लाह तआ़ला ने जन्नतियों के लिये सामान तैयार कर रखा है देखेंगे पुकारा जायेगा कि उन्हें वापस करो जन्नत में उनके लिये कोई हिस्सा नहीं यह लोग हसरत के साथ वापस होंगे कि ऐसी हसरत किसी को नहीं हुई और यह लोग कहेंगे कि ऐ रब! अगर तूने हमें पहले ही जहन्नम में दाख़िल कर दिया होता हमें तूने स्वाब और जो कुछ अपने औलिया के लिये जन्नत में मुहय्या किया है न दिखाया होता तो यह हम पर आसान होता इरशाद फ़रमायेगा हमारा मक़सद ही यह था ऐ बद बख़्तो! जब तुम तन्हा होते थे तो बड़े बड़े गुनाहों से मेरा मुक़ाबला करते थे और जब लोगों से मिलते थे तो ख़ुशूअ़ के साथ मिलते जो कुछ दिल में मेरी तअ़्ज़ीम करते उसके ख़िलाफ़ लोगों पर ज़ाहिर करते लोगों से तुम डरे मुझसे न डरे, लोगों की तअ़्ज़ीम की और मेरी तअ़्ज़ीम नहीं की, लोगों के लिये गुनाह छोड़े मेरे लिये नहीं छोड़े, लिहाज़ा तुमको आज अज़ाब चखाऊँगा और स्वाब से महरूम करूँगा।

हदीस (18) तिर्मिज़ी ने अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिसकी नियत तलबे आख़िरत है अल्लाह तआ़ला उसके दिल में ग़िना पैदा करदेगा और उसकी हाजतें जमअ़ करदेगा और दुनिया ज़लील होकर उसके पास आयेगी और तलबे दुनिया जिसकी नियत हो अल्लाह तआ़ला फ़क़्र व मोहताजी उसकी आँखों के सामने करदेगा और उसके कामों को मुतफ़र्रिक़ कर देगा और मिलेगा वही जो उसके लिये लिखा जा चुका है"।

हदीस (19) सहीह मुस्लिम में अबूज़र रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से पूछा गया कि यह फ़रमाईये कि आदमी अच्छा काम करता है और लोग उसकी तअ़रीफ़ करते हैं (यह रिया है या नहीं) फ़रमाया "यह मोमिन के लिये जल्द यानी दुनिया में बशारत है"।

हदीस (20) तिर्मिज़ी ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह मैं अपने मकान के अन्दर नमाज़ की जगह में था एक शख़्स आगया और यह बात मुझे पसन्द आई उसने मुझे इस हाल में देखा (यह रिया तो न हुआ) इरशाद फ़रमाया अबूहुरैरा तुम्हारे लिये दो स्वाब हैं पोशीदा इबादत करने का और एलानिया का भी यह उस सूरत में है कि इबादत इस लिये नहीं की कि लोगों पर ज़ाहिर हो और लोग आ़बिद समझें इबादत ख़ालिसन अल्लाह के लिये है इबादत के बाद अगर लोगों पर ज़ाहिर होगई और तब्अ़न यह बात अच्छी मालूम होती है कि दूसरे ने अच्छी हालत पर पाया इस तबई मसर्रत से रिया नहीं।

हदीस (21) बैहक़ी ने अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "आदमी की बुराई के लिये यह काफ़ी है कि दीन व दुनिया में उसकी तरफ़ उंगलियों से इशारा किया जाये मगर जिसको अल्लाह तआ़ला बचाये यानी जिसे लोग अच्छा समझते हों उसको रिया व अ़जाब से बचना बहुत मुश्किल होता है मगर ख़ुदा की ख़ास मेहरबानी जिस पर हो वही बचता है"।

मसअ्ला.1:– रोज़ादार से पूछा क्या तुम्हारा रोज़ा है उसे कह देना चाहिए कि हाँ है कि रोज़ा में रिया को दख़्ल नहीं यह न कहे कि देखता हूँ क्या होता है यानी ऐसे अलफ़ाज़ न कहे जिससे मालूम होता हो कि यह अपने रोज़े को छुपाता है कि यह बेवक़ूफ़ी की बात है कि छुपाता है मगर इस तरह जिससे इज़हार होंजाता है यह मुनाफ़िक़ीन का तरीक़ा है कि लोगों के सामने वह बताना चाहता है कि अपने अ़मल को छुपाता है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.2:– इबादत कोई भी हो उसमें इख़्लासे नियत ज़रूरी चीज़ है यानी महज़ रज़ा–ए–इलाही के लिये अ़मल करना ज़रूरी है दिखावे के तौर पर अ़मल करना बिलइजमाअ़ हराम है बल्कि हदीस में रिया को शिर्के असग़र फ़रमाया इख़्लास ही वह चीज़ है कि उसपर स्वाब मुरत्तब होता है, हो सकता है कि अ़मल सहीह न हो मगर जब इख़्लास के साथ किया गया हो तो उसपर स्वाब मुरत्तब हो। मसलन ला इल्मी में किसी ने नजिस पानी से वज़ू किया और नमाज़ पढ़ली अगर्चे यह नमाज़ सहीह न हुई कि सेहत की शर्त तहारत थी वह नहीं पाई गई मगर उसने सिद्क़ नियत और

इख़्लास के साथ पढ़ी है तो स्वाब का तरत्तुब है यानी उस नमाज़ पर स्वाब पायेगा मगर जब कि बाद में मालूम होगया कि नापाक पानी से वुज़ू किया था तो वह मुतालबा जो उसके ज़िम्मे है साक़ित (ख़त्म) न होगा वह ब'दस्तूर क़ाइम रहेगा उसको अदा करना होगा। और कभी शराइते सेहत पाये जायेंगे मगर स्वाब न मिलेगा मस्लन नमाज़ पढ़ी तमाम अरकान अदा किये और शराइत भी पाये गये मगर रिया के साथ पढ़ी तो अगर्चे उस नमाज़ की सेहत का हुक्म दिया जाये मगर चूंकि इख़्लास नहीं है स्वाब नहीं। रिया की दो सूरतें हैं कभी तो अस्ले इबादत ही रिया के साथ करता है कि मस्लन लोगों के सामने नमाज़ पढ़ता है और कोई देखने वाला न होता तो पढ़ता ही नहीं यह रिया–ए–कामिल है कि उसे इबादत का बिल्कुल स्वाब नहीं। दूसरी सूरत यह है कि अस्ले इबादत में रिया नहीं कोई होता न होता बहर हाल नमाज़ पढ़ता मगर वस्फ़ में रिया है कि कोई देखने वाला न होता जब भी पढ़ता मगर इस ख़ूबी के साथ न पढ़ता यह दूसरी क़िस्म पहली से कम दर्जे की है उसमें अस्ल नमाज़ का स्वाब है और ख़ूबी के साथ अदा करने का जो स्वाब है वह यहाँ नहीं कि यह रिया से है इख़्लास से नहीं। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.3:– किसी इबादत को इख़लास के साथ शुरूअ् किया मगर इसना–ए–अमल में रिया की मुदाख़लत होगई तो यह नहीं कहा जायेगा कि रिया से इबादत की बल्कि यह इबादत इख़्लास से हुई हाँ उसके बाद जो कुछ इबादत में हुस्न व ख़ूबी पैदा होगई वह रिया से होगी और यह रिया की क़िस्मे दोम ही शुमार होगी। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.4:– रोज़े के मुतअ़ल्लिक़ बाज़ उलमा का यह क़ौल है कि उसमें रिया नहीं होता इसका ग़ालिबन यह मतलब होगा कि रोज़ा चन्द चीज़ों से बाज़ रहने का नाम है उसमें कोई काम नहीं करना होता जिसकी निस्बत कहा जाये कि रिया से किया वरना यह होसकता है कि लोगों को जताने के लिये यह कहता फिरता है कि रोज़ा से हूँ या लोगों के सामने मुँह बनाये रहता है ताकि लोग समझें कि इसका भी रोज़ा है इस तौर पर रोजा में भी रिया की मुदाख़लत हो सकती है(रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.5:– रिया की तरह उजरत लेकर कुर्आन मजीद की तिलावत भी है कि किसी मय्यित के लिये बग़र्ज़े ईसाले स्वाब कुछ लेकर तिलावत करता है कि यहाँ इख़्लास कहाँ बल्कि तिलावत से मक़सूद वह पैसे हैं कि वह नहीं मिलते तो पढ़ता भी नहीं इस पढ़ने में कोई स्वाब नहीं फिर मय्यित के लिये ईसाले स्वाब का नाम लेना ग़लत है कि जब स्वाब ही न मिला तो पहुँचायेगा क्या इस सूरत में न पढ़ने वाले को स्वाब न मय्यित को, बल्कि उजरत देने वाला और लेने वाला दोनों गुनहगार (रद्दुल'मुहतार) हाँ अगर इख़्लास के साथ किसी ने तिलावत की तो उसपर स्वाब भी है और उसका ईसाल भी होसकता है और मय्यित को इससे नफ़अ् भी पहुँचेगा बाज़ मरतबा पढ़ने वालों को पैसे नहीं दिये जाते मगर ख़त्म के बाद मिठाई तक़सीम होती है अगर इस मिठाई की ख़ातिर तिलावत की है तो यह भी एक क़िस्म की उजरत ही है कि जब एक चीज़ मशहूर होजाती है तो उसे भी मशरूत ही का हुक्म दिया जाता है उसका भी वही हुक्म है जो मज़कूर होचुका हाँ जो शख़्स यह समझता है कि मिठाई नहीं मिलती जब भी मैं पढ़ता वह इस हुक्म से मुस्तस्ना है और इस बात का ख़ुद वह अपने ही दिल से फ़ैसला कर सकता है कि मेरा पढ़ना मिठाई के लिये है या अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल के लिये पंजआयत पढ़ने वाला अपना दोहरा हिस्सा लेता है यानी एक हिस्सा ख़ास पंजआयत पढ़ने का होता है और न मिले झगड़ता है, गोया यह ज़ाइद हिस्सा पंजआयत का मुआवज़ा है इससे भी यही निकलता है कि जिस तरह अजीर को उजरत न मिले तो झगड़ा कर लेता है उस तरह यह भी लेता है लिहाज़ा ब'ज़ाहिर इख़्लास नज़र नहीं आता वल्लाहु अअ्लमु बिस्सवाब।

मीलाद ख़्वाँ और वाइज़ भी दो हिस्से लेते हैं जब कि वअ्ज़ में मिठाई तक़सीम होती है जिससे ज़ाहिर यही होता है कि एक हिस्सा अपने पढ़ने और तक़रीर करने का लेते हैं अगर वही हिस्सा यह भी लेते जो आम तौर पर तक़सीम होता है तो बहुत ख़ूब होता कि ज़रासी मिठाई के बदले अज्रे अ़ज़ीम के ज़ाइअ् होने का शुब्ह न होता बाज़ जगह ख़ुसूसियत के साथ उनकी दअ्वतें भी होती हैं कि उनको उसी हैसियत से खाना खिलाया जाता है कि यह पढ़ेंगे, बयान करेंगे यह मख़्सूस दअ्वत भी उसी उजरत ही की हद में आती है हाँ अगर और लोगों की दअ्वत भी हो तो यह नहीं कहा

जायेगा कि वअ़ज़ व तक़रीर का मुआवज़ा है उसी क़िस्म की बहुत सी सूरतें हैं जिनकी तफ़सील की चन्दाँ ज़रूरत नहीं यह मुख़्तसर बयान दीनदार मुत्तबेअ़ शरीअ़त के लिये काफी है वह ख़ुद अपने दिल में इन्साफ़ कर सकता है कि कहाँ अ़मले ख़ैर की उजरत है और कहाँ नहीं।

मसअ्ला.6:– जो शख़्स हज को गया और साथ में अम्वाले तिजारत (तिजारत का माल) भी लेगया अगर तिजारत का ख़याल ग़ालिब है यानी तिजारत करना मक़सूद है और वहाँ पहुँच जाऊँगा हज भी कर लूँगा या दोनों पहलू बराबर हैं यानी सफ़र ही दोनों मक़सद से किया तो उन दोनों सूरतों में सवाब नहीं यानी जाने का सवाब नहीं अगर मक़सूद हज करना है और यह कि मौक़ा मिल जायेगा तो माल भी बेच लूँगा तो हज का सवाब है। इस तरह अगर जुमा पढ़ने गया और बाज़ार में दूसरे काम करने का भी ख़्याल है अगर असली मक़सद जुमा ही को जाना है तो उस जाने का सवाब है और अगर काम का ख़याल ग़ालिब है या दोनों बराबर तो जाने का सवाब नहीं। (रद्दुल मुहतार)

मसअ्ला.7:– फ़राइज़ में रिया को दख़्ल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार) उसका यह मतलब नहीं कि फ़राइज़ में रिया पाया ही नहीं जाता इस लिये कि जिस तरह नवाफ़िल को रिया के साथ अदा कर सकता है होसकता है कि फ़राइज़ को भी रिया के तौर पर अदा करे बल्कि मतलब यह है कि फ़र्ज़ अगर रिया के तौर पर अदा किया जब भी उसके ज़िम्मे से साक़ित होजायेगा, अगर्चे इख़्लास न होने की वजह से सवाब न मिले और यह मतलब भी होसकता है कि अगर किसी फ़र्ज़ अदा करने में रिया की मुदाख़लत का अन्देशा हो तो इस मुदाख़लत का एअ्तिबार करके फ़र्ज़ को तर्क न करे बल्कि फ़र्ज़ अदा करे रिया को दूर करने की और इख़्लास हासिल होने की कोशिश करे।

ज़ियारते कुबूर का बयान

ज़ियारत के मुतअ़ल्लिक मसाइल हिस्सा चहारुम में बयान किये गये हैं।

हदीस् (1) सहीह मुस्लिम में बुरैदा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "मैंने तुमको ज़्यारते कुबूर से मनअ़ किया था अब तुम क़बरों की ज़्यारत करो और मैंने तुमको क़ुर्बानी का गोश्त तीन दिन से ज़्यादा खाने की मुमानअ़त की थी अब जब तक तुम्हारी समझ में आये रख सकते हो"।

हदीस् (2) इब्ने माजा ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "मैंने तुमको ज़्यारते कुबूर से मनअ़ किया था अब तुम क़बरों की ज़्यारत करो कि वह दुनिया में बे रग़बती का सबब है और आख़िरत याद दिलाती है"।

हदीस् (3) सहीह मुस्लिम में बुरैदा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम लोगों को तअ़लीम देते थे कि "जब क़बरों के पास जायें यह कहें।

﴿اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ اَھْلَ الدِّیَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَ اِنَّا اِنْشَاءَ اللّٰہُ بِکُمْ لَاحِقُوْنَ نَسْاَلُ اللّٰہَ لَنَا وَ لَکُمُ الْعَافِیَۃَ﴾

तर्जमा:– ऐ कब्रिस्तान वाले मोमिनों और मुसलमानों! तुम पर सलामती हो और इन्शाअल्लाहु तआ़ला हम तुमसे आ मिलेंगे हम अल्लाह से अपने लिये और तुम्हारे लिये आफ़ियत का सुवाल करते हैं।

हदीस् (4) तिर्मिज़ी ने इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मदीने में कुबूर के पास गुज़रे तो उधर को मुँह करलिया और यह फ़रमाया।

﴿اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا اَھْلَ الْقُبُوْرِ یَغْفِرُ اللّٰہُ لَنَا وَلَکُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ﴾

तर्जमा:– ऐ कब्रिस्तान वालो तुम पर सलामती हो अल्लाह तआ़ला तुम्हारी और हमारी मग़फ़िरत फ़रमाये तुम हमसे पहले चले गये और हम तुम्हारे पीछे आने वाले हैं

हदीस् (5) सहीह मुस्लिम में हज़रत आइशा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से मरवी कहती हैं कि जब मेरी बारी की रात होती हुज़ूर आख़िर शब में बक़ीअ़ को जाते और यह फ़रमाते।

﴿اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِیْنَ وَاَتَاکُمْ مَاتُوْعَدُوْنَ غَداً مُّؤَجَّلُوْنَ وَ اِنَّا اِنْشَاءَ اللّٰہُ بِکُمْ لَاحِقُوْنَ اَللّٰھُمَّ اغْفِرْ لِاَھْلِ بَقِیْعِ الْغَرْقَدِ﴾

हदीस् (6) बैहक़ी ने शोअ़बुलईमान में मुहम्मद इब्ने नोअ़मान से मुरसलन रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जो अपने वालिदैन की दोनों या एक की हर जुमा में ज़ियारत करेगा उसकी मग़्फ़िरत होजायेगी और नेकोकार लिखा जायेगा"।

हदीस् (7) ख़तीब ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु

तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब कोई शख़्स ऐसे की क़ब्र पर गुज़रे जिसे दुनिया में पहचानता था और उसपर सलाम करे तो वह मुर्दा उसे पहचानता है और उसके सलाम का जवाब देता है"।

हदीस (8) इमाम अह़मद ने हज़रत आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की कहती हैं मैं अपने घर में जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फ़रमा हैं (यानी रौज़ा–ए–अतहर में) दाख़िल होती तो अपने कपड़े उतार देती (यानी ज़ाइद कपड़े जो ग़ैरों के सामने होने में सित्र पोशी के लिये ज़रूरी हैं) और अपने दिल में यह कहती कि यहाँ तो सिर्फ़ मेरे शौहर और मेरे वालिद हैं फिर जब मैं हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ मदफ़ून हुए तो हज़रत उमर की हया की वजह से ख़ुदा की क़सम मैं वहाँ नहीं गई अच्छी तरह अपने ऊपर कपड़ों को लपेट कर।

मसअला.1:– ज़्यारते क़ुबूर जाइज़ व सुन्नत है हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शोहदा–ए–उहुद की ज़्यारत को तशरीफ़ ले जाते और उनके लिये दुआ करते और यह फ़रमाया भी है कि तुम लोग क़ब्रों की ज़्यारत करो।

मसअला.2:– जिसकी क़ब्र की ज़्यारत को गया है उसकी ज़िन्दगी में अगर उसके पास मुलाक़ात को आता तो जितना नज़्दीक या दूर होता अब भी क़ब्र की ज़्यारत में उसी का लिहाज़ रखे। (आलमगीरी)

मसअला.3:– क़ब्र की ज़्यारत को जाना चाहे तो मुस्तहब यह है कि पहले अपने मकान में दो रकअ़त नमाज़ नफ़्ल पढ़े, हर रकअ़त में बाद फ़ातिहा, आयतुल'कुर्सी एक बार और कुल हु वल्लाहु तीन बार पढ़ें और उस नमाज़ का सवाब मय्यित को पहुँचाये अल्लाह तआला मय्यित की क़ब्र में नूर पैदा करेगा और उस शख़्स को बहुत बड़ा सवाब अ़ता फ़रमायेगा, अब क़ब्रिस्तान को जाये रास्ते में ला'यानी बातों में मश्गूल न हो जब क़ब्रिस्तान पहुँचे जूतियाँ उतारदे और क़ब्र के सामने इस तरह खड़ा हो कि क़िब्ले को पीठ हो, मय्यित के चेहरे की तरफ़ मुँह और उसके बाद यह कहे।

﴿السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ﴾

और 'सूरए फ़ातिहा' व 'आयतुलकुर्सी' व 'सूरए इज़ाज़ुलज़िलत' व अलहा'कुमुत्तकासुर पढ़े। सुरए मुल्क और दूसरी सुरतें भी पढ़ सकता है। (आलमगीरी)

मसअला.4:– चार दिन ज़्यारत के लिये बेहतर हैं दो'शम्बा, पन्ज'शम्बा, जुमा, हफ़्ता, जुमा के दिन नमाज़े जुमा अफ़ज़ल है और हफ़्ता के दिन तुलूअ़ आफ़ताब तक और पन्ज'शम्बा को दिन के अव्वल वक़्त में और बाज़ उलमा ने फ़रमाया कि पिछले वक़्त में अफ़ज़ल है मुतबर्रक रातों में ज़्यारते क़ुबूर अफ़ज़ल है मसलन शबे'बरात, शबे'क़द्र, इसी तरह ईदैन के दिन और अशरा, ज़िलहिज्जा में भी बेहतर है। (आलमगीरी)

मसअला.5:– क़ब्रिस्तान के दरख़्त का हुक्म यह है कि अगर वह दरख़्त क़ब्रिस्तान से पहले का है यानी ज़मीन को जब क़ब्रिस्तान बनाया गया उस वक़्त वह दरख़्त वहाँ मौजूद था तो जिसकी ज़मीन है उसी का दरख़्त है वह जो चाहे करे और अगर वह ज़मीन बंजर थी किसी की मिल्क न थी तो दरख़्त और ज़मीन का वह हिस्सा जिसमें दरख़्त है उसी पहली हालत पर है कि किसी की मिल्क नहीं और अगर क़ब्रिस्तान होने के बाद दरख़्त है और मालूम है कि फ़ुलाँ शख़्स ने लगाया है तो जिसने लगाया है उसका है मगर उसे यह चाहिए कि सदक़ा करदे और मालूम न हो कि किसने लगाया है बल्कि वह ख़ुद ही वहाँ जम गया है तो क़ाज़ी को उसके मुतअ़ल्लिक़ इख़्तियार है अगर क़ाज़ी की यह राय हो कि दरख़्त कटवाकर क़ब्रिस्तान पर ख़र्च करदे तो कर सकता है। (आलमगीरी)

ईसाले सवाब

मसअला.1:– ईसाले सवाब यानी क़ुर्आन मजीद या दुरूद शरीफ़ या कलिमा तय्यिबा या किसी नेक अमल का सवाब दूसरे को पहुँचाना जाइज़ है इबादते मालिया, बदनिया फ़र्ज़ व नफ़्ल सबका सवाब दूसरों को पहुँचाया जा सकता है ज़िन्दों के ईसाले सवाब से मुर्दों को फ़ायदा पहुँचता है कुतुबे फ़िक़्ह व अ़क़ाइद में इसकी तसरीह मज़कूर है हिदाया और शरह अ़क़ाइद नस्फ़ी में उसका बयान मौजूद है उसको बिदअ़त कहना हट'धर्मी है हदीस से भी उस का जाइज़ होना साबित है हज़रत सअ़द रदियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा का जब इन्तिक़ाल हुआ उन्होंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह सअ़द की माँ का इन्तिक़ाल होगया कौनसा सदक़ा अफ़ज़ल है इरशाद फ़रमाया 'पानी' उन्होंने कुआँ खोदा और यह कि सअ़द की माँ

के लिये है मालूम हुआ कि ज़िन्दों के अअ्माल से मुर्दों को स्वाब मिलता है और फ़ायदा पहुँचता है अब रहीं तख़्सीसात मस्लन तीसरे दिन या चालीसवें दिन यह तख़्सीसात न शरई तख़्सीसात हैं न उनको शरई समझा जाता है, यह कोई भी नहीं जानता कि उसी दिन में स्वाब पहुँचेगा अगर किसी दूसरे दिन किया जायेगा तो नहीं पहुँचेगा। यह महज़ रिवाजी और उर्फ़ी बात है जो अपनी सुहूलत के लिये लोगों ने कर रखी है बल्कि इन्तिक़ाल के बाद ही से कुर्आन मजीद की तिलावत और ख़ैर, ख़ैरात का सिलसिला जारी होता है अकस्र लोगों के यहाँ उसी दिन से बहुत दिनों तक यह सिलसिला जारी रहता है उसके होते हुए क्योंकि कहा जा सकता है कि मख़्सूस दिन के सिवा दूसरे दिनों में लोग ना'जाइज़ जानते हैं यह महज़ इफ़्तिरा है जो मुसलमानों के सर बाँधा जाता है और जिन्दों मुर्दों को स्वाब से महरूम करने की बेकार कोशिश है। पस जब्कि हम असले कुल्ली बयान कर चुके तो जुज़ईयात के अहकाम खुद उसी कुल्लिया से मालूम होगये। **सोम** यानी तीजा जो मरने से तीसरे दिन किया जाता है कि कुर्आन मजीद पढ़कर या कलिमाए तय्यिबा पढ़वाकर ईसाले स्वाब करते हैं और बच्चों और अहले हाजत को चने बताशे या मिठाईयाँ तक़सीम करते हैं और खाना पकवाकर फुक़रा व मसाकीन को खिलाते हैं या उनके घरों पर भेजते हैं जाइज़ व बेहतर है। फ़िर हर पन्जशम्बा को हस्बे हैसियत खाना पकाकर ग़रीबों को देते या खिलाते हैं फिर चालीसवें दिन खाना खिलाते हैं फिर छः महीने पर ईसाले स्वाब करते हैं उसके बाद बर्सी होती है यह सब उसी ईसाले स्वाब की फुरूअ् हैं उसी में दाख़िल हैं मगर यह ज़रूरी है कि यह सब काम अच्छी नियत से किये जायें नुमाइशी न हों नुमूद मक़सूद न हो, वरना न स्वाब है न ईसाले स्वाब बाज़ लोग इस मौक़े पर अज़ीज़ व क़रीब और रिश्ते'दारों की दअ्वत करते हैं यह मौक़ा दअ्वत का नहीं बल्कि मोहताजों फ़क़ीरों को खिलाने का है जिससे मय्यित को स्वाब पहुँचे इसी तरह शबे बरात में हलवा पकता है और उसपर फ़ातिहा दिलाई जाती है हलवा पकाना भी जाइज़ है और उसपर फ़ातिहा भी उसी ईसाले स्वाब में दाख़िल। माहे रजब में बाज़ जगह सूरए मुल्क चालीस मर्तबा पढ़कर रोटियों या छुहारों पर दम करते हैं और उनको तक़सीम करते हैं और स्वाब मुर्दों को पहुँचाते हैं यह भी जाइज़ है। इसी माहे रजब में हज़रत जलाल बुख़ारी अलैहिर्रहमा के कूंडे होते हैं कि चावल या खीर पकवाकर कुंडों में भरते हैं और फ़ातिहा दिलाकर लोगों को खिलाते हैं यह भी जाइज़ है हाँ एक बात मज़मूम (बुरी) है वह यह है कि जहाँ कूंडे भरे जाते हैं वहीं खिलाते हैं वहाँ से हटने नहीं देते यह एक लग्व हरकत है मगर यह जाहिलों का तरीक़ा–ए–अमल है पढ़े लिखे लोगों में यह पाबन्दी नहीं। इसी तरह माहे रजब में बाज़ जगह हज़रत सय्यिदिना जअ्फ़र सादिक़ रदियल्लाहु तआला अन्हु को ईसाले स्वाब के लिये पूरियों के कूंडे भरे जाते हैं और फ़ातिहा देकर खिलाते हैं यह भी जाइज़ मगर उसमें भी उसी जगह खाने की बाज़ों ने पाबन्दी कर रखी है यह बेजा पाबन्दी है। इस कूंडे के मुतअल्लिक़ एक किताब भी है जिसका नाम 'दास्ताने अजीब' है उस मौक़े पर बाज़ लोग उसको पढ़वाते हैं उसमें जो कुछ लिखा है उसका कोई सुबूत नहीं वह न पढ़ी जाये फ़ातिहा दिलाकर ईसाले स्वाब करें। माहे मुहर्रम में दस दिनों तक ख़ुसूसन दसवीं को हज़रत सय्यिदिना इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु व दीगर शोहदा–ए–करबला को ईसाले सवाब करते हैं कोई शर्बत पर फ़ातिहा दिलाता है कोई शीरबिरन्ज (चावलों की खीर) पर कोई मिठाई पर, कोई रोटी गोश्त पर, जिस पर चाहो फ़ातिहा दिलाओ जाइज़ है, उनको जिस तरह ईसाले स्वाब करो मन्दूब है बहुत से पानी और शर्बत की सबील लगा देते हैं, जाड़ों में चाय पिलाते हैं, कोई खिचड़ा पकवाता है जो कारे ख़ैर करो और स्वाब पहुँचाओ हो सकता है, इन सबको ना'जाइज़ नहीं कहा जा सकता बाज़ जाहिलों में मशहूर है कि मुहर्रम में सिवाए शोहदा–ए–करबला के दूसरों की फ़ातिहा न दिलाई जाये उनका यह ख़याल ग़लत है जिस तरह दूसरे दिनों में सब की फ़ातिहा हो सकती है उन दिनों में भी हो सकती है। माह रबीउ़ल'आख़िर की ग्यारहवीं तारीख़ बल्कि हर महीने की ग्यारहवीं को हुज़ूर सय्यिदिना ग़ौसे अअ्ज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु की फ़ातिहा दिलाई जाती है यह भी ईसाले स्वाब की एक सूरत है बल्कि ग़ौसे पाक रदियल्लाहु तआला अन्हु की जब कभी फ़ातिहा होती है किसी तारीख़ में हो अवाम उसे ग्यारहवीं की फ़ातिहा बोलते हैं माहे रजब की छठी

तारीख़ बल्कि हर महीने की छठी तारीख़ को हुज़ूर ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदियल्लाहु तआला अन्हु की फ़ातिहा भी ईसाले सवाब में दाख़िल है। अस्हाबे कहफ़ का तोशा या हुज़ूर गौसे अअ्ज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु का तोशा या हज़रत शैख़ अहमद अब्दुलहक़ रुदौलवी क़ुद्दिस सिर्रुहूल'अज़ीज़ का तोशा भी जाइज़ है और ईसाले सवाब में दाख़िल है।

मसअ्ला.2:– उर्से बुज़ुर्गाने दीने रदियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन जो हर साल उनके विसाल के दिन होता है यह भी जाइज़ है उस तारीख़ में क़ुर्आन मजीद ख़त्म किया जाता है और सवाब उन बुज़ुर्ग को पहुँचाया जाता है या मीलाद शरीफ़ पढ़ा जाता है या वअ्ज़ कहा जाता है, बिल्जुमला ऐसे उमूर जो बाइसे सवाब व ख़ैर व बरकत हैं जैसे दूसरे दिनों में जाइज़ हैं उन दिनों में भी जाइज़ हैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर साल के अव्वल या आख़िर में शोहदा–ए–उहुद रदियल्लाहु तआला अन्हुम की ज़्यारत को तशरीफ़ लेजाते। हाँ यह ज़रूर है कि उर्स को लग्व व ख़ुराफ़ात चीज़ों से पाक रखा जाये जाहिलों को ना मशरूअ् हरकात से रोका जाये अगर मनअ् करने से बाज़ न आयें तो उन अफ़आल के गुनाह उनके ज़िम्मे।

मजालिसे ख़ैर

मसअ्ला.1:– मीलाद शरीफ़ यानी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादते अक़दस का बयान जाइज़ है उसी के ज़िम्न में उस मज्लिसे पाक में हुज़ूर के फ़ज़ाइल व मोअ्जिज़ात व सियर व हालात, हयात व रज़ाअ्त व बेअ्सत के वाक़िआत भी बयान होते हैं उन चीज़ों का ज़िक्र अहादीस में भी है और क़ुर्आन मजीद में भी अगर मुसलमान अपनी महफ़िल में बयान करें बल्कि ख़ास उन बातों के बयान करने के लिये महफ़िल मुन्अक़िद करें तो उसके ना'जाइज़ होने की कोई वजह नहीं इस मज्लिस के लिये लोगों को बुलाना और शरीक करना, ख़ैर की तरफ़ बुलाना है जिस तरह वअ्ज़ और जलसों के एअ्लान किये जाते हैं इश्तिहारात छपवाकर तक़सीम किये जाते हैं अख़बारात में उसके मुतअल्लिक़ मज़ामीन शाइअ् किये जाते हैं और उनकी वजह से वह वअ्ज़ और जल्से ना'जाइज़ नहीं होजाते इसी तरह ज़िक्रे पाक के लिये बुलावा देने से उस मज्लिस को ना'जाइज़ व बिदअ्त नहीं कहा जा सकता इसी तरह मीलाद शरीफ़ में शीरीनी बांटना भी जाइज़ है, मिठाई बांटना बिर्र व सिला (नेकी व बदला मिलने का काम) है। जब यह महाफ़िल जाइज़ हैं तो शीरीनी तक़सीम करना जो एक जाइज़ फ़ेअ्ल था इस मज्लिस को ना'जाइज़ नहीं करदेगा। यह कहना कि लोग उसे ज़रूरी समझते हैं उस वजह से ना'जाइज़ है यह भी ग़लत है कोई भी वाजिब या फ़र्ज़ नहीं जानता बहुत मरतबा मैंने ख़ुद देखा है कि मीलाद शरीफ़ हुआ और मिठाई नहीं तक़सीम हुई। और बिल'फ़र्ज़ उसे कोई ज़रूरी समझता भी हो तो उर्फ़ी ज़रूरी कहता होगा न कि शरअ्न उसको ज़रूरी जानता होगा। इस मज्लिस में ब'वक़्ते ज़िक्रे विलादत क़याम किया जाता है यानी खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं उलमा–ए–किराम ने इस क़याम को मुस्तहसन फ़रमाया है खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ना भी जाइज़ है बाज़ अकाबिर को इस मज्लिसे पाक में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शरफ़ भी हासिल हुआ है अगर्चे यह नहीं कहा जा सकता है कि हुज़ूर इस मौक़े पर ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं मगर किसी ग़ुलाम पर अपना करमे ख़ास फ़रमायें और तशरीफ़ लायें तो मुस्तबअ्द (दूर) भी नहीं।

मसअ्ला.2:– मज्लिसे मीलाद शरीफ़ में या दीगर मजालिस में वही रिवायात बयान की जायें जो साबित हों मौज़ूआत और गढ़े हुए क़िस्से हरगिज़ हरगिज़ बयान न किये जायें कि बजाए ख़ैर व बरकत ऐसी बातों के बयान करने में गुनाह होता है।

मसअ्ला.3:– मेअ्राज शरीफ़ के बयान के लिये मज्लिस मुन्अक़िद करना उनमें वाक़िआ मेअ्राज बयान करना जिस को रजबी शरीफ़ कहा जाता है जाइज़ है।

मसअ्ला.4:– यह मशहूर है कि शबे मेअ्राज में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नअ्लैने मुबारक पहने हुए अर्श पर गये और वाइज़ीन उसके मुतअल्लिक़ एक रिवायत भी बयान करते हैं उसका सुबूत नहीं और यह भी साबित नहीं कि बरहना पा थे, लिहाज़ा इसके मुतअल्लिक़ सुकूत करना मुनासिब है।

मसअ्ला.5:– खुलफ़ाए राशेदीन रदियल्लाहु तआला अन्हुम की वफ़ात की तारीखों में मज्लिस मुन्अकिद करना और उनके हालात व फ़ज़ाइल व कमालात से मुसलमानों को आगाह करना भी जाइज़ है कि वह हज़रात मुक़तदायाने अहले इस्लाम हैं उनकी ज़िन्दगी के कारनामे मुसलमानों के लिये मशअ़ले हिदायत हैं और उनका ज़िक्र बाइसे खै़र व बरकत और सबबे नुज़ूले रहमत है।

मसअ्ला.6:– रजब की 26 या 27 को रोज़े रखते हैं पहले को हज़ारी दूसरे को लख्खी कहते हैं यानी पहले में हज़ार रोज़े का सवाब और दूसरे में एक लाख का सवाब बताते हैं उन रोज़ों के रखने में मुज़ाइका नहीं मगर यह जो सवाब के मुतअल्लिक़ मशहूर है उसका सुबूत नहीं।

मसअ्ला.7:– अशराए मुहर्रम में मज्लिस मुन्अकिद करना और वाक़िआते करबला बयान करना जाइज़ है जब कि रिवायाते सहीहा बयान की जायें, उन वाक़िआत में सब्र व तहम्मुल, रज़ा व तस्लीम का बहुत मुकम्मल दर्स है और पाबन्दी अहकामे शरीअत व इत्तिबाए सुन्नत का ज़बरदस्त अमली सुबूत है कि दीने हक़ की हिफ़ाज़त में तमाम अइज़्ज़ा व अक़रिबा व रुफ़क़ा और खुद अपने को राहे खुदा में कुर्बान किया और जज़अ् व फ़ज़अ् का नाम भी न आने दिया मगर उस मज्लिस में सहाबा किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम का भी ज़िक्रे खैर होजाना चाहिए ताकि अहले सुन्नत और शीओं की मजालिस में फ़र्क़ व इम्तियाज़ रहे।

मसअ्ला.8:– तअ्ज़ियादारी कि वाक़िआते करबला के सिल्सिले में तरह तरह के ढांचे बनाते और उनको हज़रत सय्यिदिना इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु के रोज़ाए पाक की शबीह कहते हैं कहीं तख़्त बनाये जाते हैं कहीं ज़रीह (एक क़िस्म का ताज़िया) बनती है और अ़लम और शद्दे निकाले जाते हैं, ढोल, ताशे और क़िस्म क़िस्म के बाजे बजाये जाते हैं तअ्ज़ियों का बहुत धूम धाम से गश्त होता है, आगे पीछे होने में जाहिलयत के से झगड़े होते हैं, कभी दरख़्त की शाख़ें काटी जाती हैं कहीं चबूतरे खुदवाये जाते हैं, तअ्ज़ियों से मन्नतें मानी जाती हैं, सोने चाँदी के अ़लम चढ़ाये जाते हैं, हार फूल नारियल चढ़ाते हैं, वहाँ जूते पहनकर जाने को गुनाह जानते हैं, बल्कि इस शिद्दत से मनअ् करते हैं कि गुनाह पर भी ऐसी मुमानअ़त नहीं करते, छतरी लगाने को बहुत बुरा जानते हैं, तअ्ज़ियों के अन्दर मसनूई क़बरें बनाते हैं, एक पर सब्ज़ ग़िलाफ़ और दूसरी पर सुर्ख़ ग़िलाफ़ डालते हैं, सब्ज़ ग़िलाफ़ वाली को हज़रत सय्यिदिना इमाम हसन रदियल्लाहु तआला अन्हु की क़ब्र और सुर्ख़ ग़िलाफ़ वाली को हज़रते सय्यदिना इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु की क़ब्र या शबीह बताते हैं, और वहाँ शर्बत, मालीदा वगैरा पर फ़ातिहा दिलवाते हैं यह तसव्वुर करके कि हज़रत इमाम आ़ली मक़ाम के रोज़ा और मुवाजहा अक़दस में फ़ातिहा दिला रहे हैं फिर यह तअ्ज़िया दसवीं तारीख़ को मसनूई करबला में लेजाकर दफ़्न करते हैं गोया यह जनाज़ा था जिसे दफ़्न कर आये फिर तीजा, दसवाँ, चालीसवाँ सब कुछ किया जाता है और हर एक खुराफ़ात पर मुश्तमिल होता है। हज़रत क़ासिम रदियल्लाहु तआला अन्हु की मेहन्दी निकालते हैं गोया उनकी शादी हो रही है और मेहन्दी रचाई जायेगी और इसी तअ्ज़ीयादारी के सिल्सिले में कोई पैक (क़ासिद) बनता है जिसके कमर से घुंघरू बन्धे होते हैं गोया यह हज़रत इमाम आ़ली मक़ाम का क़ासिद और हरकारा है जो यहाँ से ख़त लेकर इब्ने ज़ियाद या यज़ीद के पास जायेगा और वह हरकारों की तरह भागा फिरता है किसी बच्चे को फ़क़ीर बनाया जाता है उसके गले में झोली डालते और घर घर उससे भीक मंगवाते हैं, कोई सक्क़ा बनाया जाता है छोटीसी मश्क उसके कन्धे से लटकती है गोया यह दरया–ए–फुरात से पानी भर लायेगा, किसी अ़लम पर मश्क लटकती है और उसमें तीर लगा होता है गोया यह हज़रते अब्बास अ़लमदार हैं कि फुरात से पानी ला रहे हैं और यज़ीदियों ने मश्क को तीर से छेद दिया है, इसी क़िस्म की बहुतसी बातें की जाती हैं यह सब लग्व व खुराफ़ात हैं उनसे हरगिज़ सय्यिदिना हज़रत इमामे हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु खुश नहीं यह तुम खुद ग़ौर करो कि उन्होंने एहया–ए–दीन व सुन्नत के लिये यह ज़बरदस्त कुर्बानियाँ कीं और तुमने मआज़ल्लाह उसको बिदआत का ज़रीआ बनालिया बाज़ जगह उसे तअ्ज़ियादारी के सिल्सिला में बुराक़ बनाया जाता है जो अजीब क़िस्म का मुजस्समा होता है कि कुछ हिस्सा इन्सानी शक्ल का होता है और कुछ हिस्सा जानवर कासा शायद यह हज़रत इमाम आ़ली मक़ाम की सवारी

के लिये एक जानवर होगा कहीं दुलदुल बनता है कहीं बड़ी क़ब्रें बनती हैं बाज़ जगह आदमी, रीछ, बन्दर, लंगूर बनते हैं और कूदते फिरते हैं जिनको इस्लाम तो इस्लाम इन्सानी तहज़ीब भी जाइज़ नहीं रखती, ऐसी बुरी हरकात, इस्लाम हरगिज़ जाइज़ नहीं रखता। अफ़सोस कि महब्बते अहले बैते किराम का दअ्वा और ऐसी बेजा हरकतें यह वाक़िआ तुम्हारे लिये नसीहत था और तुमने उसको खेल, तमाशा बनालिया इसी सिलसिले में नोहा व मातम भी होता है और सीना कोबी होती है इतनी ज़ोर–ज़ोर से सीना कूटते हैं कि वर्म होजाता है, सीना सुर्ख होजाता है बल्कि बाज़ जगह ज़न्ज़ीरों और छुरियों से मातम करते हैं कि सीने से ख़ून बहने लगता हैं तअ्ज़ियों के पास मर्सिया पढ़ा जाता है और तअ्ज़िया जब गश्त को निकलता है उस वक़्त भी उसके आगे मर्सिया पढ़ा जाता है, मर्सिया में ग़लत वाक़िआत नज़्म किये जाते हैं अहले बैते'किराम की बे हुरमती और बे'सब्री और जज़अ् व फ़ज़अ् का ज़िक्र किया जाता है और चूंकि अकसर मर्सिया राफ़ज़ियों ही के हैं बाज़ में तबर्रा भी होता है मगर उस रौ में सुन्नी भी उसे बे'तकल्लुफ़ पढ़ जाते हैं और उन्हें उसका ख़याल भी नहीं होता कि क्या पढ़ रहे हैं। यह सब ना'जाइज़ और गुनाह के काम हैं।

मसअ्ला.9:– इज़हारे ग़म के लिये सर के बाल बिखेरते हैं, कपड़े फाड़ते और सर पर खाक डालते और भूसा उड़ाते हैं यह भी ना'जाइज़ और जाहिलयत के काम हैं। उनसे बचना निहायत ज़रूरी है अहादीस में उनकी सख़्त मुमानअ्त आई है। मुसलमानों पर लाज़िम है कि ऐसे उमूर से परहेज़ करें और ऐसे काम करें जिनसे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम राज़ी हों कि यही निजात का रास्ता है।

मसअ्ला.10:– तअ्ज़ियों और अ़लम के साथ बाज़ लोग लंगर लुटाते हैं यानी रोटियाँ या बिस्किट या और कोई चीज़ ऊँची जगह से फेंकते हैं यह ना'जाइज़ है कि रिज़्क की सख़्त बे'हुरमती होती है यह चीज़ें कभी नालियों में भी गिरती हैं और अकसर लूटने वालों के पाँवों के नीचे भी आती हैं और बहुत कुछ कुचल कर ज़ाइअ् होती हैं अगर यह चीज़ें इन्सानियत के तरीक़े पर फ़ुक़रा को तक़सीम की जायें तो बे'हुरमती न हो और जिनको दिया जाये उन्हें फ़ाइदा भी पहुँचे मगर वह लोग इस तरह लुटाते हैं कि अपनी नेक नामी तसव्वुर करते हैं।

आदाबे सफ़र का बयान

हदीस (1) सहीह बुख़ारी में कअ्ब बिन मालिक रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ग़ज़वाए तबूक को पंजशम्बा के रोज़ रवाना हुए और पंजशम्बा (यानी जुमेरात) के दिन रवाना होना हुज़ूर को पसन्द था।

हदीस (2) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने सख़्र इब्ने वदाआ रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया इलाही तू मेरी उम्मत के लिये सुबह में बरकत दे और हुज़ूर सरिय्या या लश्कर भेजते तो सुबह के वक़्त में भेजते और सख़्र रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु ताजिर थे यह अपनी तिजारत का माल सुबह को भेजते यह साहिबे सरवत (मालदार) हो गये और उनका माल ज़्यादा होगया।

हदीस (3) सहीह बुख़ारी में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "तन्हाई की ख़राबियों को जो कुछ मैं जानता हूँ अगर दूसरे लोग जानते तो कोई सवार रात में तन्हा न जाता"।

हदीस (4) इमाम मालिक व तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व ब'रिवायत उमर बिन शुऐब अन अबीहि अन जद्दिही रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "एक सवार शैतान है और दो सवार दो शैतान हैं और तीन जमाअत है"।

हदीस (5) अबूदाऊद ने अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब सफ़र में तीन शख़्स हों तो एक को अमीर यानी अपना सरदार बनालें"।

हदीस (6) बैहक़ी ने सहल इब्ने सअ्द रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "सफ़र में क़ौम का सरदार वह है जो उनकी ख़िदमत करे जो शख़्स ख़िदमत में सबक़त लेजायेगा तो शहादत के सिवा किसी अ़मल से दूसरे

लोग उस पर सबक़त नहीं लेजा सकते"।

हदीस् (7) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "सफ़र अ़ज़ाब का टुकड़ा है सोना और खाना, पीना सब को रोक देता है लिहाजा जब काम पूरा करले जल्दी घर को वापस हो"।

हदीस् (8) सहीह मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब रात में मन्ज़िल पर उतरो तो रास्ते से बचकर ठहरो कि वह जानवरों का रास्ता है और ज़हरीले जानवर के ठहरने की जगह है"।

हदीस् (9) अबूदाऊद ने अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जानवरों की पीठों को मिम्बर न बनाओ यानी जब सवारी रुकी हुई हो तो उसकी पीठ पर बैठकर बातें न करो क्योंकि अल्लाह ने सवारियों को तुम्हारे लिये इस लिये मुसख़्ख़र किया है कि तुम उनके ज़रीआ से ऐसे शहरों को पहुँचो जहाँ बिग़ैर मशक्क़ते नफ़्स नहीं पहुँच सकते थे और तुम्हारे लिये ज़मीन को अल्लाह तआ़ला ने बनाया है, उस पर अपनी हाजतें पूरी करो यानी बातें करनी हों तो ज़मीन पर उतरकर करो।

हदीस् (10) अबूदाऊद ने अबू सअ़लबा ख़ुशनी रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि लोग जब मन्ज़िल में उतरते तो मुतफ़र्रिक़ ठहरते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "तुम्हारा मुतफ़र्रिक़ होकर ठहरना शैतान की जानिब से है उसके बाद सहाबा जब किसी मन्ज़िल में उतरते तो मिलकर ठहरते"।

हदीस् (11) अबूदाऊद ने अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "रात में चलने को लाज़िम करलो (यानी फ़कत दिन ही में नहीं बल्कि रात के कुछ हिस्से में भी चला करो।) क्योंकि रात में ज़मीन लपेट दी जाती है यानी रात में चलने से रास्ता जल्द तै होता है"।

हदीस् (12) अबूदाऊद ने अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं कि जब हम मन्ज़िल में उतरते तो जब तक कजावे खोल न लेते नमाज नहीं पढ़ते।

हदीस् (13) तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने बुरैदा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम पैदल तशरीफ़ लेजा रहे थे एक शख़्स गधे पर सवार आया और अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह सवार होजाईये और ख़ुद पीछे सरका रसूल सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "यूँ नहीं जानवर की सदर जगह बैठने में तुम्हारा हक़ है मगर जब कि यह हक़ तुम मुझे देदो" उन्होंने कहा मैंने हुज़ूर को दिया हुज़ूर सवार होगये।

हदीस् (14) इब्ने अ़साकर ने अबूदरदा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब सफ़र से कोई वापस आये तो घर वालों के लिये हदया लाये अगर्चे अपनी झोली में पत्थर ही डाल लाये"।

हदीस् (15) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम अपने अहल के पास सफ़र से रात में नहीं तशरीफ़ लाते हुज़ूर सुबह को आते या शाम को।

हदीस् (16) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब किसी के ग़ाइब होने का ज़माना तवील हो यानी बहुत दिनों के बाद मकान पर आये तो ज़ौजा के पास रात में न आये दूसरी रिवायत में है कि हुज़ूर ने उनसे फ़रमाया "अगर रात में मदीने में दाख़िल होए तो बीवी के पास न जाना जब तक वह बनाओ श्रंगार करके आरास्ता न होजाये।

हदीस् (17) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में कअ़ब इब्ने मालिक रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि

नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम सफ़र से दिन में चाश्त के वक़्त तशरीफ़ लाते तशरीफ़ लाने के बाद सबसे पहले मस्जिद में जाते और दो रकअ़त नमाज़ पढ़ते फिर लोगों के लिये मस्जिद ही में बैठ जाते।

हदीस् (18) सहीह बुख़ारी में जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कहते हैं मैं नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के साथ सफ़र में था हम मदीना में आगये तो हुज़ूर ने मुझसे फ़रमाया "मस्जिद में जाओ और दो रकअ़त नमाज़ पढ़ो"।

मसाइले फ़िक़्हिया

मसअ्ला.1:– औरत को बिग़ैर शौहर या महरम के तीन दिन या ज़्यादा का सफ़र करना ना'जाइज़ है और तीन दिन से कम का सफ़र अगर किसी मर्द सालेह या बच्चे के साथ करे तो जाइज़ है बाँदी के लिये भी यही हुक्म है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.2:– जिहाद के सिवा किसी काम के लिये सफ़र करना चाहता है मस्लन तिजारत या हज या उमरा के लिये सफ़र करना चाहता है इसके लिये वालिदैन से इजाज़त हासिल करे अगर वालिदैन इस सफ़र को मनअ् करें और उसको अन्देशा हो कि मेरे जाने के बाद उनकी कोई ख़बर'गीरी न करेगा और उसके पास इतना माल भी नहीं है कि वालिदैन को भी दे और सफ़र के मसारिफ़ भी पूरे करे ऐसी सूरत में बिग़ैर इजाज़ते वालिदैन सफ़र को न जाये और अगर वालिदैन मोहताज न हों उनका नफ़्क़ा औलाद के ज़िम्मे न हो मगर वह सफ़र ख़तर'नाक है हलाकत का अन्देशा है जब भी बिग़ैर इजाज़त सफ़र न करे और हलाकत का अन्देशा न हो तो बिग़ैर इजाज़त सफ़र कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– बिग़ैर इजाज़ते वालिदैन इल्मे दीन पढ़ने के लिये सफ़र किया इसमें हरज नहीं और उसको वालिदैन की नाफ़रमानी नहीं कहा जायेगा। (आलमगीरी)

मुतफ़र्रिक़ात

मसअ्ला.1:– याद'दाश्त के लिये यानी इस ग़र्ज़ से कि बात याद रहे बाज़ लोग रुमाल या कमर'बन्द में गिरह लगा लेते हैं या किसी जगह उंगली वग़ैरा पर डोरा बाँध लेते हैं यह जाइज़ है और बिला वजह डोरा बाँध लेना मकरूह। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.2:– गले में तअ्वीज़ लटकाना जाइज़ है जबकि वह तअ्वीज़ हो यानी आयाते क़ुर्आनिया या असमा–ए–इलाहिया या अदईया (दुआओं) से तअ्वीज़ किया गया हो और बाज़ हदीसों में मुमानअ़त आई है उससे मुराद वह तअ्वीज़ात हैं जो ना'जाइज़ अलफ़ाज़ पर मुश्तमिल हों जो ज़मानाए जाहिलियत में किये जाते थे। इसी तरह तअ्वीज़ात और आयात व अहादीस् व अदईया रकाबी में लिखकर मरीज़ को ब'नियते शिफ़ा पिलाना भी जाइज़ है जुनुब व हाइज़ व नुफ़सा भी तअ्वीज़ात को गले में पहन सकते हैं बाजू पर बाँध सकते हैं जबकि तअ्वीज़ात ग़िलाफ़ में हो। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– बिछौने या मुसल्ले पर कुछ लिखा हुआ हो तो उसको इस्तेअ्माल करना ना'जाइज़ है यह इबारत उसकी बनावट में हो, या काढ़ी गई हो, या रौश्नाई से लिखी हो अगर्चे हुरूफ़े मुफ़रिदा लिखे हों क्योंकि हुरूफ़े मुफ़रिदा का भी एहतिराम है। (रद्दुल'मुहतार) अकस्र दस्तरख़्वान पर इबारत लिखी होती है ऐसे दस्तरख़्वानों को इस्तेअ्माल में लाना उनपर खाना न चाहिए बाज़ लोगों के तकियों पर अश्आ़र लिखे होते हैं इनका भी इस्तेअ्माल न किया जाये।

मसअ्ला.4:– वअ्दा किया गया मगर उसको पूरा करने में कोई शरई क़बाहत थी इस वजह से पूरा नहीं किया तो उसको वअ्दा ख़िलाफ़ी नहीं कहा जायेगा और वअ्दा ख़िलाफ़ करने का जो गुनाह है इस सूरत में नहीं होगा अगर्चे वअ्दा करने के वक़्त उसने इस्तिस्ना न किया हो कि यहाँ शरीअ़त की जानिब से इस्तिस्ना मौजूद है उसको ज़बान से कहने की ज़रूरत नहीं। मस्लन वअ्दा किया था कि फ़ुलाँ जगह आऊँगा और वहाँ बैठकर तुम्हारा इन्तिज़ार करूँगा मगर जब वहाँ गया तो

देखता है कि नाच, रंग और शराब ख़ोरी वग़ैरा में लोग मश्गूल हैं वहाँ से यह चला आया यह वअ़दा
ख़िलाफ़ी नहीं है या उसके इन्तिज़ार करने का वअ़दा किया था और इन्तिज़ार कर रहा था कि
नमाज़ का वक़्त आगया यह चला आया, वअ़दा के ख़िलाफ़ नहीं हुआ। (मुश्किलुल'आसार, इमाम तहावी)
मसअ्ला.5:– बाज़ काश्तकार अपनी खेतियों में कपड़ा लपेटकर किसी लकड़ी पर लगा देते हैं
इससे मक़सूद नज़रे बद से खेतियों को बचाना होता है क्योंकि देखने वाले की नज़र पहले इस पर
पड़ेगी उसके बाद ज़राअ़त पर पड़ेगी और इस सूरत में ज़राअ़त को नज़र नहीं लगेगी ऐसा करना
ना'जाइज़ नहीं क्योंकि नज़र का लगना सहीह है। अहादीस् से साबित है उसका इन्कार नहीं किया
जा सकता हदीस् में है कि जब अपने या किसी मुसलमान भाई की चीज़ देखे और पसन्द आये तो
बरकत की दुआ करे यह कहे "बार'कल्लाहु अहसनुलख़ालिक़ीन अल्लाहुम्मा बारिक फ़ीहि" या उर्दू
में यह कहदे कि अल्लाह बरकत करे इस तरह कहने से नज़र नहीं लगेगी। (रद्दुल'मुहतार)
मसअ्ला.6:– मुश्रिकीन के बर्तनों में बिग़ैर धोये खाना, पीना मकरूह है यह उस वक़्त है कि बर्तन
का नजिस होना मालूम न हो और मालूम हो तो उसमें खाना, पीना हराम है। (आलमगीरी)
मसअ्ला.7:– अ़जीब व ग़रीब क़िस्सा, कहानी तफ़रीह के तौर पर सुनना जाइज़ है जबकि उनका
झूटा होना यक़ीनी न हो बल्कि जो यक़ीनन झूट हों उनको भी सुना जासकता है जब कि बतौर ज़र्बे
मिस्ल हों या उनसे नसीहत मक़सूद हो जैसाकि मस्नवी शरीफ़ वग़ैरा में बहुत से फ़र्ज़ी क़िस्से
वअ़ज़ व पिन्द के लिये दर्ज किये गये हैं उसी तरह जानवरों और कंकर पत्थर वग़ैरा की बातें फ़र्ज़ी
तौर पर बयान करना या सुनना भी जाइज़ है मस्लन 'गुलिस्ताँ' में हज़रत शैख़ सअ़दी अ़लैहिर्रहमा
ने लिखा।"गिले ख़ुश्बूए दर हम्माम रोज़े"। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)
मसअ्ला.8:– तमाम ज़बानों में अ़र्बी ज़बान अफ़ज़ल है हमारे आक़ा व मौला सरकारे दो आ़लम
सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की यह ज़बान है क़ुर्आन मजीद अ़र्बी ज़बान में नाज़िल हुआ।
अहले जन्नत की जन्नत में अ़र्बी ही ज़बान होगी, जो इस ज़बान को खुद सीखे या दूसरों को
सिखाये उसे सवाब मिलेगा। (दुर्रेमुख़्तार) यह जो कहा गया सिर्फ़ ज़बान के लिहाज़ से कहा गया
वरना एक मुस्लिम को खुद सोचने की ज़रूरत है कि अ़र्बी ज़बान का जानना मुसलमानों के लिये
कितना ज़रूरी है क़ुर्आन व हदीस और दीन के तमाम उसूल व फ़ुरूअ़ इसी ज़बान में हैं इस ज़बान
से नावाक़िफ़ी कितनी कमी और नुक़सान की चीज़ है।
मसअ्ला.9:– औ़रत रुख़सत होकर आई और औ़रतों ने कहदिया कि यह तुम्हारी औ़रत है उससे
वती जाइज़ है अगर्चे यह खुद उसे पहचानता न हो। (दुर्रेमुख़्तार) इसी तरह औ़रतों ने शबे ज़िफ़ाफ़ में
उसके कमरे में जिस औ़रत को दुल्हन बनाकर भेज दिया अगर्चे यह नहीं कहा कि तुम्हारी औ़रत है
उससे वती जाइज़ है कि उसको हैअ़ते मख़सूसा के साथ यहाँ पहुँचाना ही उसकी दलील है क्योंकि
दूसरी औ़रत को इस तरह हरगिज़ नहीं भेजा जाता।
मसअ्ला.10:– जिसके ज़िम्मे अपना हक़ हो और वह न देता हो तो अगर उसकी ऐसी चीज़ मिल
जाये जो उसी जिन्स की है जिस जिन्स का हक़ है तो लेसकता है इस मुआ़मले में रूपया और
अशर्फ़ी एक जिन्स की चीज़ें हैं यानी उसके ज़िम्मे रूपया था और अशर्फ़ी मिलगई तो बक़द्र अपने
हक़ के ले सकता है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)
मसअ्ला.11:– लोगों के साथ मदारात से पेश आना, नर्म बातें करना, कुशादा रुई से कलाम करना,
मुस्तहब है मगर यह ज़रूरी है कि मुदाहनत न पैदा हो। बद'मज़हब से गुफ़्तगू करे तो इस तरह न
करे कि वह समझे मेरे मज़हब को अच्छा समझने लगा बुरा नहीं जानता है। (आ़लमगीरी)
मसअ्ला.12:– मकान किराये पर दिया और किरायेदार उसमें रहने लगा अगर मकान देखने को
जाना चाहता है कि देखे किस हालत में है और मरम्मत की ज़रूरत हो तो मरम्मत करादी जाये तो
किरायेदार से इजाज़त लेकर अन्दर जाये यह ख़याल न करे कि मकान मेरा है मुझे इजाज़त की

क्या ज़रूरत कि मकान अगर्चे इसका है मगर सुकूनत दूसरे की है और इजाज़त लेने का हुक्म उसी सुकूनत की वजह से है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.13:– हम्माम में जाये तो तहबन्द बाँधकर नहाये लोगों के सामने बरहना होना ना'जाइज़ है तन्हाई में जहाँ किसी की नज़र पढ़ने का एहतिमाल न हो बरहना होकर भी गुस्ल कर सकता है इसी तरह तालाब या दरिया में जबकि नाफ़ से ऊँचा पानी हो बरहना नहा सकता है। (आलमगीरी) मगर जबकि पानी साफ़ हो और दूसरा कोई शख़्स नज़्दीक हो कि उसकी नज़र मवाज़ेअ् सित्र पर पड़ेगी तो ऐसे मौके पर पानी में भी बरहना होना, जाइज़ नहीं।

मसअ्ला.14:– अहले महल्ला ने इमामे मस्जिद के लिये कुछ चन्दा जमअ् करके देदिया या उसे खाने पहनने के लिये सामान कर दिया यह उन लोगों के नज़्दीक भी जाइज़ है जो उजरत पर इमामत को ना'जाइज़ फ़रमाते हैं कि यह उजरत नहीं बल्कि एहसान है कि ऐसे लोगों के साथ करना ही चाहिए। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.15:– जो शख़्स मुक़तदा और मज़हबी पेशवा हो उसके लिये अहले बातिल और बुरे लोगों से मेल, जोल रखना मनअ् है और अगर उस वजह से मदारात करता है कि ऐसा न करने में वह जुल्म करेगा तो मुज़ाइक़ा नहीं जब कि यह ग़ैर मअ्रूफ़ शख़्स हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– किसी ने कटख़ना कुत्ता पाल रखा है जो राहगीरों को काट खाता है तो बस्ती वाले ऐसे कुत्ते को क़त्ल कर डालें बिल्ली अगर ईज़ा पहुँचाती है तो उसे तेज़ छूरी से ज़बह करडालें उसे ईज़ा देकर न मारें। (आलमगीरी)

मसअ्ला.17:– टिड्डी हलाल जानवर है उसे खाने के लिये मार सकते हैं और ज़रर से बचने के लिये भी उसे मार सकते हैं चींटी ने ईज़ा पहुँचाई और मारडाली तो हरज नहीं वरना मकरूह है जूँ को मार सकते हैं अगर्चे उसने काटा न हो और आग में डालना मकरूह है जूँ का बदन या कपड़े से निकाल कर ज़िन्दा फेंक देना तरीक़े अदब के ख़िलाफ़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.18:– खटमल मारना जाइज़ है कि यह तकलीफ़ देह जानवर है।(यानी तकलीफ़ देने वाला जानवर है)

मसअ्ला.19:– जिसके पास माल की क़िल्लत (कमी) है और औलाद की कस्रत उसे वसियत न करना ही अफ़ज़ल है और अगर वुरसा अग़निया (मालदार) हों या माल की दो तिहाई भी उनके लिये बहुत होंगी तो तिहाई की वसियत कर जाना बेहतर है। (दुर्रेमुख़्तार रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.20:– मर्द को अज्नबिया औरत का झूटा और औरत को अज्नबी मर्द का झूटा मकरूह है ज़ौजा व महारिम के झूटे में हरज नहीं (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार) कराहत उस सूरत में है जब कि तलज़्ज़ुज़ के तौर पर हो और अगर तलज़्ज़ुज़ मक़सूद न हो बल्कि तबर्रुक के तौर पर हो जैसा कि आलिमे बा'अमल और बा'शरअ् पीर का झूटा कि उसे तबर्रुक समझकर लोग खाते, पीते हैं उसमें हरज नहीं।

मसअ्ला.21:– बीवी नमाज़ न पढ़े तो शौहर उसको मार सकता है उसी तरह ज़ीनत पर भी मार सकता है और घर से बाहर निकल जाने पर भी मार सकता है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.22:– बीवी बेहूदा बल्कि फ़ाजिरा हो तो शौहर पर यह वाजिब नहीं कि उसे तलाक़ ही दे डाले यूँही अगर मर्द फ़ाजिर हो तो औरत पर यह वाजिब नहीं कि उससे पीछा छुड़ाये हाँ अगर यह अन्देशा हो कि दोनों हुदूदुल्लाह को क़ाइम न रख सकेंगे हुक्मे शरअ् की पाबन्दी न करेंगे तो जुदाई में हरज नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.23:– हाजत के मौक़े पर क़र्ज़ लेने में हरज नहीं जबकि अदा करने का इरादा हो और अगर यह इरादा हो कि अदा न करेगा तो हराम खाता है और अगर बिग़ैर अदा के मरगया मगर नियत यह थी कि अदा करेगा तो उम्मीद है कि आख़िरत में उससे मुवाख़ज़ा न हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.24:– जिसका हक़ उसके ज़िम्मे था वह ग़ाइब होगया पता नहीं कि वह कहाँ है न यह मालूम कि ज़िन्दा है या मरगया तो उसपर यह वाजिब नहीं कि शहरों शहरों उसे तलाश करता फिरे(आलमगीरी)

मसअला.25:– जिस का दैन था वह मरगया और मदयून दैन से इन्कार करता है वुरसा उससे वसूल न कर सके तो उसका सवाब दाइन को मिलेगा उसके वुरसा को नहीं और अगर मदयून ने उसके वुरसा को दैन अदा कर दिया तो बरी होगया। (आलमगीरी)

मसअला.26:– जिसके ज़िम्मे दैन था वह मरगया और वारिस् को मालूम न था कि उसके ज़िम्मे दैन है ताकि तर्का से अदा करे, उसने तर्का को ख़र्च करडाला तो वारिस् से दैन का मुआख़ज़ा नहीं होगा और अगर वारिस् को मालूम है कि मय्यित के ज़िम्मे दैन है तो उसपर अदा करना वाजिब है और अगर वारिस् को मालूम था मगर भूल गया इस वजह से अदा न किया जब भी आख़िरत में मुवाख़ज़ा नहीं वदीअत का भी यही हुक्म है कि भूल गया और जिसकी चीज़ थी उसे नहीं दी तो मुवाख़ज़ा नहीं। (आलमगीरी)

मसअला.27:– मदयून और दाइन जा रहे थे रास्ते में डाकूओं ने घेरा, मदयून यह चाहता है कि उसी वक़्त में दैन अदा करदूँ ताकि डाकू इसका माल छीने और मैं बच जाऊँ आया इस हालत में दाइन लेने से इन्कार कर सकता है या उसको लेना ही होगा फ़क़ीह अबुल्लैस रहमतुल्लाहि तआला यह फ़रमाते हैं कि दाइन लेने से इन्कार कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअला.28:– किसी ने कहा फ़ुलाँ शख़्स की कुछ चीज़ें मैंने खाली हैं उसे पाँच रूपये दे देना वह न हो तो उसके वारिसों को देना, वारिस् न हो तो ख़ैरात कर देना, इस शख़्स की सिर्फ़ बीवी है कोई दूसरा वारिस् नहीं है अगर औरत यह कहती है कि मेरा दैन महर उसके ज़िम्मे है जब तो रूपये उसी को दिये जायें वरना सिर्फ़ उसे चहारुम दिया जाये यानी सवा रुपया जब कि औरत यह कहे कि उस की कोई औलाद न थी। (आलमगीरी)

मसअला.29:– अगर जान, माल, आबरू का अन्देशा है उनके बचाने के लिये रिश्वत देता है या किसी के ज़िम्मे अपना हक़ है जो बिग़ैर रिश्वत दिये वुसूल नहीं होगा और यह इस लिये रिश्वत देता है कि मेरा हक़ वुसूल होजाये यह देना जाइज़ है यानी देने वाला गुनहगार नहीं मगर लेने वाला ज़रूर गुनहगार है उसको लेना जाइज़ नहीं इसी तरह जिन लोगों से ज़बान दराज़ी का अन्देशा हो जैसे बाज़ लुच्चे शोहदे ऐसे होते हैं कि सरे बाज़ार किसी को गाली देदेना या बे'आबरू कर देना उनके नज़्दीक मअ्मूली बात है ऐसों को इस लिए कुछ देदेना ताकि ऐसी हरकतें न करें या बाज़ शोअ्रा ऐसे होते हैं कि उन्हें अगर न दिया जाये तो मज़म्मत में क़सीदे कह डालते हैं उनको अपनी आबरू बचाने और ज़बान बन्दी के लिये कुछ देदेना जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअला.30:– भेड़, बकरियों के चरवाहे को इस लिये कुछ देदेना कि वह जानवरों को रात में उसके खेत में रखेगा क्योंकि इससे खेत दुरुस्त होजाता है यह ना'जाइज़ व रिश्वत है अगर्चे यह जानवर खुद चरवाहे के हों और अगर कुछ देना नहीं ठहरा है जब भी ना'जाइज़ है क्योंकि इस मौके़ पर उरफ़न दिया ही करते हैं तो अगर्चे देना शर्त नहीं मगर मशरूत ही के हुक्म में है। इसके जवाज़ की यह सूरत होसकती है कि मालिक से उन जानवरों को आरियत लेले और मालिक चरवाहे से यह कहदे कि तू उसके खेत में जानवरों को रात में ठहराना अब अगर चरवाहे को एहसान के तौर पर देना चाहे तो दे सकता है ना'जाइज़ नहीं और अगर मालिक के कहने के बाद भी चरवाहा मांगता है और जब तक उसे कुछ न दिया जाये ठहराने पर राज़ी न हो तो यह फिर ना'जाइज़ व रिश्वत है। (आलमगीरी)

मसअला.31:– बाप को उसका नाम लेकर पुकारना मकरूह है कि यह अदब के ख़िलाफ़ है उसी तरह औरत को यह मकरूह है कि शौहर को नाम लेकर पुकारे। (दुर्रेमुख़्तार) बाज़ जाहिलों में यह मशहूर है कि औरत अगर शौहर का नाम लेले तो निकाह टूट जाता है यह ग़लत है शायद उसे इस लिये गढ़ा हो कि इस डर से कि तलाक़ होजायेगी शौहर का नाम न लेगी।

मसअला.32:– मरने की आरज़ू करना और उसकी दुआ मांगना मकरूह है जबकि किसी दुनियावी तकलीफ़ की वजह से हो मसलन तंगी से बसर औक़ात होती है, या दुश्मन का अन्देशा है, माल जाने का ख़ौफ़ है, और अगर यह बातें न हों बल्कि लोगों की हालतें ख़राब होगईं मअ्सियत में

मुब्तला हैं उसे भी अन्देशा है कि गुनाह में पड़ जायेगा तो आरज़ूए मौत मकरूह नहीं। (आलमगीरी)

मसअला.33:– ज़लज़ला के वक़्त मकान से निकलकर बाहर आजाना जाइज़ है इस तरह अगर दीवार झूकी हुई है गिरना चाहती है उसके पास से भागना जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअला.34:– ताऊन जहाँ हो वहाँ से भागना जाइज़ नहीं और दूसरी जगह से वहाँ जाना भी न चाहिए उसका मतलब यह है कि जो लोग कमज़ोर एअ्तिक़ाद के हों और ऐसी जगह गये और मुब्तला होगये उनके दिल में बात आई कि यहाँ आने से ऐसा हुआ न आते तो काहे को इस बला में पड़ते और भागने में बच गया तो यह ख़याल किया कि वहाँ होता तो न बचता भागने की वजह से बचा ऐसी सूरत में भागना और जाना दोनों ममनूअ् ताऊन के ज़माने में अवाम से अकस्र इसी किस्म की बातें सुनने में आती हैं और उसका अक़ीदा पक्का है जानता है कि जो कुछ मुक़द्दर में होता है वही होता है न वहाँ जाने से कुछ होता है न भागने में फ़ाइदा पहुचता है तो ऐसे को वहाँ जाना भी जाइज़ है और निकलने में भी हरज नहीं कि इसको भागना नहीं कहा जायेगा और हदीस् में मुतलक़न निकलने की मुमानअत नहीं बल्कि भागने की मुमानअत है।

मसअला.35:– काफ़िर के लिये मग़्फ़िरत की दुआ हरगिज़ हरगिज़ न करे हिदायत की दुआ कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअला.36:– एक शख़्स मरा जिसका काफ़िर होना मालूम था मगर अब एक मुसलमान उसके मुसलमान होने की शहादत देता है उसके जनाज़े की नमाज़ पढ़ी जायेगी और मुसलमान मरा और एक शख़्स उसके मुर्तद होने की शहादत देता है तो महज़ उसके कहने से उसे मुर्तद नहीं क़रार दिया जायेगा और जनाज़े की नमाज़ तर्क नहीं की जायेगी। (आलमगीरी)

मसअला.37:– मकान में परिन्द ने घोंसला लगाया और बच्चे भी किये, बिछौने और कपड़ों पर बीट गिरती है ऐसी हालत में घोंसला बिगाड़ना और परिन्द को भगा देना नहीं चाहिए बल्कि उस वक़्त तक इन्तिज़ार करे कि बच्चे बड़े होकर उड़ जायें। (आलमगीरी)

मसअला.38:– जिमाअ् करते वक़्त कलाम करना मकरूह है और तुलूअ़े फज्र से नमाज़े फज्र तक बल्कि तुलूअ़े आफ़ताब तक ख़ैर के सिवा दूसरी बात न करे। (आलमगीरी)

मसअला.39:– माहे सफ़र को लोग मन्हूस जानते हैं इसमें शादी ब्याह नहीं करते लड़कियों को रुख़्सत नहीं करते और भी इस क़िस्म के काम करने से परहेज़ करते हैं और सफ़र करने से गुरेज़ करते हैं खुसूसन माहे सफ़र की इब्तिदाई तेरह तारीख़ें बहुत ज़्यादा नह़िस (मन्हूस) मानी जाती हैं और उनको तेरह तेज़ी कहते हैं यह सब जिहालत की बातें हैं। हदीस् में फ़रमाया कि सफ़र कोई चीज़ नहीं यानी लोगों का इसे मन्हूस समझना ग़लत है इसी तरह ज़ीक़ादा के महीने को भी बहुत लोग बुरा जानते हैं और उसको ख़ाली का महीना कहते हैं यह भी ग़लत है और हर माह में 3,13,23,8,18,28 को मन्हूस जानते हैं यह भी लग्व बात है।

मसअला.40:– क़मर'दर अक़रब यानी चाँद जब बुर्जे'अक़रब में होता है तो सफ़र करने को बुरा जानते हैं और नुजूमी इसे मन्हूस बताते हैं और जब बुर्जे असद में होता है तो कपड़े क़तअ् कराने और सिलवाने को बुरा जानते हैं ऐसी बातों को हरगिज़ न माना जाये यह बातें ख़िलाफ़े शरअ् और नुजूमियों के ढकोसले हैं।

मसअला.41:– नुजूम की इस क़िस्म की बातें जिनमें सितारों की तासीरात बताई जाती हैं कि फुलाँ सितारा तुलूअ् करेगा तो फुलाँ बात होगी यह भी ख़िलाफ़े शरअ् है उसी तरह नछत्तरों का हिसाब कि फुलाँ नछत्तर से बारिश होगी यह भी ग़लत है हदीस् में उसपर सख़्ती से इन्कार फ़रमाया।

मसअला.42:– माहे सफ़र का आख़िर चहारशम्बा हिन्दुस्तान में बहुत मनाया जाता है लोग अपने कारोबार बन्द कर देते हैं, सैर व तफ़रीह व शिकार को जाते हैं पूरियाँ पकती हैं और नहाते धोते खुशियाँ मनाते हैं और कहते यह हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस

रोज़ गुस्ले सेहत फ़रमाया था और बेरूने मदीना तय्यिबा तशरीफ़ लेगये थे। यह सब बातें बे'अस्ल हैं बल्कि उन दिनों में हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मर्ज़ शिद्दत के साथ था वह बातें ख़िलाफ़े वाक़िअ् हैं और बाज़ लोग यह कहते हैं कि उस रोज़ बलायें आती हैं और तरह तरह की बातें बयान की जाती हैं सब बे'सुबूत हैं बल्कि हदीस् का यह इरशाद "ला सफ़र" यानी सफ़र कोई चीज़ नहीं ऐसी तमाम ख़ुराफ़ात को रद्द करता है।

मसअ्ला.43:– एक शख़्स ने किसी को अज़ियत (तकलीफ़) पहुँचाई उससे मुआफ़ी मांगना चाहता है मगर जानता है कि अभी उसे गुस्सा है मुआफ़ नहीं करेगा लिहाज़ा मुआफ़ी मांगने में ताख़ीर की उस ताख़ीर में यह मअ्ज़ूर नहीं। ज़ालिम ने मज़लूम को बार–बार सलाम किया और वह जवाब भी देता रहा और उसके साथ अच्छी तरह पेश आया यहाँ तक कि ज़ालिम ने समझ लिया कि अब वह मुझसे राज़ी होगया यह काफ़ी नहीं है बल्कि मुआफ़ी मांगना चाहिए। (आलमगीरी)

मसअ्ला.44:– इमामा खड़े होकर बाँधे और पाजामा बैठकर पहने जिसने उसका उलटा किया वह ऐसे मर्ज़ में मुब्तला होगा जिसकी दवा नहीं।

मसअ्ला.45:– कपड़े पहने तो दाहिने से शुरूअ् करे यानी पहले दाहिनी आस्तीन या दाहिने पाइन्चे में डाले फिर बायें में।

मसअ्ला.46:– पाजामा का तकिया न बनाये कि यह अदब के ख़िलाफ़ है और इमामा का भी तकिया न बनाये। (आलाहज़रत)

मसअ्ला.47:– बैल पर सवार होना और उसपर बोझ लादना और गधे से हल जोतना जाइज़ है यानी यह ज़रूर नहीं कि बैल से सिर्फ़ हल जोतने का काम लिया जाये उसपर बोझ न लादा जाये और गधे पर सिर्फ़ बोझ ही लादा जाये हल न जोता जाये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.48:– जानवर से काम लेने में यह लिहाज़ ज़रूरी है कि उसकी ताक़त से ज़्यादा काम न लिया जाये इतना न लिया जाये कि वह मुसीबत में पड़ जाये जितना बोझ उठा सकता है उतना ही उनपर लादा जाये या जितनी दूर जा सके वहीं तक लेजाया जाये या जितनी देर तक काम करने का मुतहम्मिल होसके उतना ही लिया जाये बाज़ यक्का तांगा वाले इतनी ज़्यादा सवारियाँ बिठा लेते हैं कि घोड़ा मुसीबत में पड़ जाता है यह ना'जइज़ है और यह भी ज़रूर है कि बिला'वजह जानवर को न मारे और सर या चेहरे पर किसी हालत में हरगिज़ न मारे कि यह बिलइजमाअ् ना'जाइज़ है। जानवर पर ज़ुल्म करना ज़िम्मी काफ़िर पर ज़ुल्म करने से ज़्यादा बुरा है और ज़िम्मी पर ज़ुल्म करना मुस्लिम पर ज़ुल्म करने से भी बुरा क्योंकि जानवर का कोई मुईन व मददगार अल्लाह के सिवा नहीं उस ग़रीब को इस ज़ुल्म से कौन बचाये। (दुर्रेमुख़्तार रद्दुलमुहतार)

وَ صَلَّى اللهُ علىٰ خَيرِ خلقه محمد و اله و صحبه اجمعين و الحمد لله رب العالمين

تمت

हिन्दी तर्जमा

मुहम्मद अमीनुल क़ादरी
नियर दो मीनार मस्जिद मोहल्ला एजाज़ नगर,
पुराना शहर बरेली, यू0पी
मो0:– 9219132423

10फ़रवरी 2010

बहारे शरीअत

11 से 20

मुसन्निफ

सदरुश्शरीआ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा

मौलाना मुहम्मद अमीनुल कादरी बरेलवी

नाशिर

कादरी दारुल इशाअ़त

[illegible] मीनार मस्जिद

[illegible] नगर, पुराना शहर बरेली

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ
(اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا)

किताब को पढ़ने से पहले
इस किताब को स्कैन करने वाले
और इस काम मे हिस्सा लेने वालो के हक़ में

दुआ फरमाएं

अल्लाह अज़्ज़वजल हमारे तमाम
सगीरा व क़बीरा गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाये
और ईमान पर इस्तेक़ामत अता फ़रमाये!

आमीन

बहारे शरीअ़त

सत्रहवां हिस़्सा

मुस़न्निफ़
सदरूश्शरीआ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा
मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर
क़ादरी दारूल इशाअ़त
मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली–53
Mob:–9219132423

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم

तहर्री

जब किसी मौके पर हकीकत मालूम करना दुश्वार होजाये तो सोचे और जिस जानिब गुमाने ग़ालिब हो अमल करे इस सोचने का नाम तहर्री है। तहर्री पर अमल करना उस वक़्त जाइज़ है ..। दलाइल से पता न चले दलील होते हुए तहर्री पर अमल करने की इजाजत नहीं।

मसअ्ला.1:– दो शख़्सों ने तहर्री की एक का ग़ालिब गुमान नफ़्सुल'अम्र (यानी हकीकत) के मुवाफ़िक हुआ और दूसरे का गुमान ग़लत हुआ तो अगर्चे दोनों बरीयुज़्ज़िम्मा होगये मगर जिस की राय सहीह हुई उस को सवाब ज़्यादा है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– नमाज़ के वक़्त में शुब्ह है अगर यह शुब्ह है कि वक़्त हुआ या नहीं तो ठहर जाये जब वक़्त होजाने का यक़ीन होजाये उस वक़्त नमाज़ पढ़े और अगर यह शुब्ह है कि वक़्त बाक़ी है या ख़त्म होगया तो नमाज़ पढ़े और नियत यह करे कि आज की फ़ुलाँ नमाज़ पढ़ता हूँ। (आलमगीरी) नमाज़ के मुतअ़ल्लिक़ तहर्री के मसाइल किताबुस्सलात में मज़कूर हो चुके वहाँ से मालूम करें।

मसअ्ला.3:– जिसको ज़कात देना चाहता है उसकी निस्बत ग़ालिब गुमान यह है कि वह फ़कीर है या खुद उसने अपना फ़कीर होना ज़ाहिर किया या किसी आदिल ने उसका फ़कीर होना बयान किया या उसे फ़कीरों के भेस में पाया या उसे सफ़े फ़ुक़रा में बैठा हुआ पाया या उसे मांगता हुआ देखा और दिल में यह बात आई कि फ़कीर है उन सब सूरतों में उसको ज़कात दी जासकती है(आलम)

मसअ्ला.4:– बाज़ कपड़े पाक हैं और बाज़ नापाक और यह पता नहीं चलता कि कौनसा पाक है अगर मजबूरी की हालत हो कि दूसरा कपड़ा नहीं जिसका पाक होना यक़ीनन मालूम हो और वहाँ पानी भी नहीं है कि उनमें से एक को पाक कर सके और नमाज़ पढ़नी है तो इस सूरत में तहर्री करे जिसकी निस्बत पाक होने का ग़ालिब गुमान हो उस में नमाज़ पढ़े और मजबूरी की हालत न हो तो तहर्री न करे मगर जब कि पाक कपड़े नापाक से ज़्यादा हों तो तहर्री कर सकता है(आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– दो कपड़ों में एक नापाक था तहर्री करके इसने एक में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ली फिर उसका ग़ालिब गुमान दूसरे के पाक होने के मुतअ़ल्लिक़ हुआ और इसमें अ़स्र की नमाज़ पढ़ी यह नमाज़ नहीं हुई क्योंकि जब ज़ोहर की नमाज़ जाइज़ होने का हुक्म दिया जा चुका तो इसके यह मअ्ना हुए कि दूसरा नापाक है तो इसके पाक होने का अब क्योंकर हुक्म हो सकता है हाँ अगर इस से पहले कपड़े के मुतअ़ल्लिक़ यक़ीन है कि नापाक है तो ज़ोहर की नमाज़ का इआदा करे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– दो कपड़ों में एक नापाक था उसने बिला तहर्री एक में ज़ोहर पढ़ली और दूसरे में अ़स्र पढ़ी फिर तहर्री से मालूम हुआ कि पहला कपड़ा पाक है दोनों नमाज़ें नहीं हुईं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– दो कपड़ों में एक नापाक है एक शख़्स ने तहर्री करके एक में नमाज़ पढ़ी और दूसरे ने तहर्री करके दूसरे में पढ़ी अगर दोनों ने अलग अलग पढ़ी दोनों की नमाज़ें होगईं। और अगर एक इमाम हो और दूसरा मुक़्तदी तो इमाम की होगई मुक़्तदी की नहीं हुई खेल, कूद में किसी के ख़ून का क़तरा निकला मगर हर एक यह कहता है कि मेरे बदन से नहीं निकला इस का भी वही हुक्म है कि तन्हा, तन्हा पढ़ी तो दोनों की नमाज़ें होगईं और अगर एक इमाम हो दूसरा मुक़्तदी तो इमाम की होगई मुक़्तदी की नहीं हुई। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– चन्द शख़्स सफ़र में हैं सबके बर्तन मख़्लूत होगये(आपस में मिल गये)इसके शुरका उस वक़्त कहीं चले गये हैं और उसे खुद अपने बर्तन की शनाख़्त नहीं है तो उनके आने का इन्तिज़ार करे तहर्री करके बर्तन को इस्तेअ़माल में न लाये हाँ अगर इस्तेअ़माल की ज़रूरत है वुज़ू करना है या पानी पीना है और मालूम नहीं साथी कब आयें तो तहर्री करके इस्तेअ़माल करे यूंही अगर खाना शिरकत में है और शुरका ग़ाइब हैं और उसे भूक लगी है तो अपने हिस्से की क़द्र इसमें से लेले। (आलमगीरी)

एहया–ए–मवात का बयान

हदीस (1) सहही बुखारी में हज़रत आइशा रदियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने उस ज़मीन को आबाद किया जो किसी की मिल्क न हो तो वही हक़दार है उरवा कहते हैं हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी खिलाफ़त में यही फ़ैसला किया था।

हदीस (2) अबूदाऊद ने समुरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि "जिसने ज़मीन पर दीवार बनाली यानी इहाता कर लिया वह उसी की है"।

हदीस (3) अबूदाऊद ने इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ज़ुबैर रदियल्लाहु तआला अन्हु को जागीर दी जहाँ तक उन का घोड़ा दौड़ कर जाये ज़ुबैर ने अपना घोड़ा दौड़ाया जब वह खड़ा हो गया तो उन्होंने अपना कोड़ा फेंका हुज़ूर ने फ़रमाया "जहाँ उनका कोड़ा गिरा है वहाँ तक जागीर में दे दो"।

हदीस (4) तिर्मिज़ी ने ·ाइल रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्ल· ने उन को 'हज़रमूत' (यमन के मश्रिक़ में वाक़ेअ् एक शहर का नाम है) ज़मीन जागीर दी और मुआवि·ा रदियल्लाहु तआला अन्हु को उनके साथ भेजा कि उन को दे आओ।

हदीस (5) इमाम शाफ़ेई ने ताऊस से मुरसलन रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जिसने मुर्दा ज़मीन ज़िन्दा की वह उसी के लिये है और पुरानी ज़मीन (यानी जिस का मालिक मालूम न हो) अल्लाह व रसूल की है फिर मेरी जानिब से तुम्हारे लिये है"।

हदीस (6) अबूदाऊद ने असमर बिन मुदर्रिस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर बैअत की फिर हुज़ूर ने फ़रमाया "जो शख़्स उस चीज़ की तरफ़ सबक़त करे (पहल करे) जिसकी तरफ़ किसी मुस्लिम ने सबक़त नहीं की है तो वह उसी की है इसको सुनकर लाग दौड़े कि ख़त खींचकर निशान बनालें"।

मसाइले फ़िक़्हिया

मसअला.1:– मवात उस ज़मीन को कहते हैं जो आबादी से फ़ासिले पर हो और वह न किसी की मिल्क हो और न किसी की हक़्के ख़ास हो अन्दरूने आबादी उफ़तादा ज़मीन को मवात नहीं कहा जायेगा और शहर से बाहर की वह ज़मीन जिसमें लोगों के जानवर चरते हैं या उसमें से जलाने के लिये लकड़ियाँ काट लाते हैं यह मवात नहीं। उसी तरह जिस ज़मीन में नमक पैदा होता है वह भी मवात नहीं यानी मवात वही कहलायेंगी जो मुन्तफ़ेअ् बिहा न हो। (जिस से फ़ायदा न उठाया जाता हो) फ़ासिले से मुराद यह है कि आबादी के किनारे से कोई शख़्स जिसकी आवाज़ बलन्द हो ज़ोर से चिल्लाये तो वहाँ तक आवाज़ न पहुँचे नज़्दीक व दूर का लिहाज़ इस बिना पर है कि नज़्दीक वाली ज़मीन उमूमन मुन्तफ़ेअ् बिहा होती है वरना ज़ाहिरुर्रिवाया यही है कि नज़्दीक व दूर का लिहाज़ नहीं बल्कि यह देखा जायेगा कि मुन्तफ़ेअ् बिहा है या नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार, आलमगीरी)

मसअला.2:– ऐसी ज़मीन जिसका ज़िक्र किया गया अगर किसी ने इमाम की इजाज़त हासिल कर के उसे आबाद किया तो यह शख़्स उसका मालिक होगया दूसरा शख़्स नहीं ले सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.3:– एक शख़्स ने दूसरे को एहया–ए–मवात के लिये वकील किया अगर मुवक्किल ने बादशाहे इस्लाम से इजाज़त हासिल करली है तो यह तौकील सहीह है और ज़मीन मुवक्किल की होगी वरना नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसअला.4:– इमाम ने (हाकिमे वक़्त ने) ऐसी ज़मीन किसी को जागीर देदी और जागीरदार ने उस ज़मीन को वैसे ही छोड़ रखा तो तीन साल तक कुछ तअर्रुज़ नहीं किया जायेगा तीन साल के बाद वह जागीर दूसरे को जागीर दी जासकती है। (आलमगीरी)

मसअला.5:– एक शख़्स ने ज़मीन को एहया किया फ़िर छोड़ रखा दूसरे ने उसमें काश्त करली तो पहला ही शख़्स उसका हक़दार है क्योंकि वह मालिक हो चुका दूसरे को उसमें तसर्रुफ़ की इजाज़त नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.6:– एक शख़्स ने ज़मीन को आबाद किया उसके बाद चार शख़्सों ने आगे, पीछे चारों जानिब ज़मीनें आबाद कीं तो पहले शख़्स का रास्ता पीछे शख़्स की ज़मीन में रहेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.7:– ज़मीने मवात में किसी ने चारों तरफ़ पत्थर रख दिये या शाख़ें गाड़दीं या ज़मीन का घास कूड़ा साफ़ किया या उसमें कांटे थे उसने जलादिये या कुँवा बनाने के ख़याल से दो एक हाथ ज़मीन खोद दी और यह सब काम इस मक़सद से किये कि दूसरा उसको आबाद न करे तो तीन साल तक इमाम इस का इन्तिज़ार करेगा अगर उसने आबाद करली फ़बिहा वरना किसी दूसरे को देदेगा जो आबाद करे। (हिदाया)

मसअला.8:– ज़मीने मवात में किसी ने कुँवा खोदा एक हाथ पानी निकलने को बाक़ी था कि दूसरे ने उसे खोदा तो पहला शख़्स हक़दार है हाँ अगर मालूम हो कि पहले ने उसे छोड़ दिया यानी एक माह का ज़माना गुज़र गया और बाक़ी को नहीं खोदता तो उस सूरत में कुवाँ दूसरे शख़्स का होगा।

शिर्ब का बयान

हदीस (1) सहीह बुख़ारी में उरवा से रिवायत है कि हज़रत जुबैर रदियल्लाहु तआला अन्हु से और एक अन्सारी से हुर्रा की नालियों के मुतअल्लिक़ झगड़ा होगया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जुबैर से फ़रमाया कि "ब'क़द्रे ज़रूरत पानी लेलो फिर अपने पड़ोसी के लिये छोड़दो" उस अन्सारी ने कहा कि यह फ़ैसला इस लिये किया कि वह आपकी फूफी के बेटे हैं यह सुनकर हुज़ूर का चेहरा मुतग़य्यर होगया और फ़रमाया "ऐ जुबैर! अपने बाग़ को पानी दो फिर रोक लो यहाँ तक कि मेंढ तक पानी पहुँच जाये फिर अपने पड़ोसी के लिये छोड़ो" उस अन्सारी ने नाराज़ कर दिया लिहाज़ा हुज़ूर ने साफ़ हुक्म में जुबैर का पूरा हक़ दिलवाया और पहले ऐसी बात फ़रमादी थी जिसमें दोनों के लिये गुन्जाइश थी।

हदीस (2) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तीन शख़्स हैं कि क़ियामत के दिन अल्लाह तआला उनसे न कलाम करेगा न उनकी तरफ़ नज़र फ़रमायेगा एक वह शख़्स जिसने किसी बेचने की चीज़ के मुतअल्लिक़ यह क़सम खाई कि जो कुछ उसके दाम मिल रहे हैं इससे ज़्यादा मिलते थे (और नहीं बेचा) हालांकि यह अपनी क़सम में झूटा है दूसरा वह शख़्स कि अस्र के बाद झूटी क़सम खाई ताकि किसी मर्दे मुस्लिम का माल लेले और तीसरा वह शख़्स जिसने बचे हुए पानी को रोका अल्लाह तआला फ़रमायेगा आज मैं अपना फ़ज़्ल तुझसे रोकता हूँ जिस तरह तूने बचे हुए पानी को रोका जिस को तेरे हाथों ने नहीं बनाया था।

हदीस (3) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "बचे हुए पानी से मनअ़ न करो कि उसकी वजह से बची हुई घास को मनअ़ करोगे"।

हदीस (4) अबूदाऊद व इब्ने माजा ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "तमाम मुसलमान तीन चीज़ों में शरीक हैं पानी और घास और आग"।

हदीस (5) सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बचे हुए पानी के बेचने से मनअ़ फ़रमाया।

हदीस (6) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "बचा हुआ पानी न बेचा जाये कि उस की वजह से घास की बैअ़ हो जायेगी"।

मसाइले फ़िक़्हिया

मसअ्ला.1:– खेत की आब'पाशी या जानवर को पानी पिलाने के लिये जो बारी मुक़र्रर करली जाती है उस को **शिर्ब** कहते हैं उस लफ़्ज़ में शीन को ज़ेर है।

मसअ्ला.2:– जिस पानी को बर्तन में महफ़ूज़ न कर लिया हो उसको हर शख़्स पी सकता है और अपने जानवरों को पिला सकता है कोई शख़्स पीने या पिलाने से नहीं रोक सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– पानी की चार क़िस्में हैं **अव्वल समन्दर** का पानी इससे हर शख़्स नफ़अ् उठा सकता है ख़ुद पिये जानवरों को पिलाये खेत की आब'पाशी करे इसमें नहर निकाल कर अपने खेतों को ले जाये जिस तरह चाहे काम में लाये कोई मनअ् नहीं कर सकता **दोम बड़े दरिया** का पानी जैसे सीहून, जीहून, दजला, फ़ुरात, नील या हिन्दुस्तान में गंगा, घागरा, इस को हर शख़्स पी सकता है अपने जानवरों को पिला सकता है मगर ज़मीन को सैराब करने और इससे नहर निकालने में यह शर्त है कि आम लोगों को ज़रर न पहुँचे **सोम वह नदी** नाले जो किसी ख़ास जमाअ़त की मिल्क हों पीने पिलाने की उसमें भी इजाज़त है मगर दूसरे लोग अपने खेत की इससे आब'पाशी नहीं कर सकते **चौथे वह पानी** जिस को घड़ों, मटकों या बर्तनों में महफ़ूज़ कर दिया गया हो इसको बिग़ैर इजाज़ते मालिक कोई शख़्स सर्फ़ में नहीं ला सकता और इस पानी को इसका मालिक बैअ् भी कर सकता है। (हिदाया, आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– कुंवाँ अगर्चे मम्लूक हो मगर इसका पानी मम्लूक नहीं दूसरा शख़्स इस पानी को पी सकता है अपने जानवरों को पिला सकता है जिस का कुंवा है वह रोक नहीं सकता और न इस के भरे हुए पानी को छीन सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– कुंवा या चश्मा जिसकी मिल्क में है वह दूसरा शख़्स वहाँ जाकर पानी पीना चाहता है वह मालिक अपनी मिल्क मसलन मकान या बाग़ में उसको जाने से रोक सकता है बशर्ते कि वहाँ क़रीब में दूसरी जगह पानी हो जो किसी की मिल्क में नहीं है और अगर पानी न हो तो मालिक से कहा जायेगा कि तू ख़ुद अपने बाग़ या मकान से पीने के लिये पानी लादे या उसे इजाज़त दे कि यह ख़ुद भरकर पी ले। (हिदाया)

मसअ्ला.6:– कुंए से पानी भरा डोल मुँह तक आगया है अभी बाहर नहीं निकला है यह भरने वाला इस पानी का अभी मालिक नहीं हुआ जब बाहर निकाल लेगा उस वक़्त मालिक होगा। रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.7:– हम्माम में गया और हौज़ में से पानी निकाला मगर जिस बर्तन में पानी लिया वह हम्माम वाले का है तो यह शख़्स पानी का मालिक नहीं हुआ बल्कि वह पानी हम्माम वाले ही का है मगर दूसरा शख़्स इस से नहीं ले सकता कि ज़्यादा हक़दार यही है। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.8:– दूसरे के कुंए से बिग़ैर इजाज़ते मालिक न अपने खेत को सींच सकता है न दरख़्तों को पिला सकता है न उसमें रहट या चरसा वग़ैरा लगा सकता है मगर घड़े वग़ैरा में भरकर लाया हो तो इस से घर में जो दरख़्त हैं या घर में जो तरकारियाँ बोई हैं उनको सैराब कर सकता है। कुंए वाले से इजाज़त हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– नहरे ख़ास या किसी के मम्लूक हौज़ या कुंएं से वुज़ू करने या कपड़े धोने के लिये घड़े में पानी भरकर ला सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– हौज़ में अगर पानी ख़ुद ही जमअ् होगया मालिके हौज़ ने पानी जमअ् करने की कोई तर्कीब नहीं की है यह हौज़ नहरे ख़ास के हुक्म में है। (रद्दुलमुहतार) देहातों में तालाब और गढ़े होते हैं बरसात में इधर उधर से पानी बहकर आता है और उनमें जमअ् हो जाता है इनका भी यही हुक्म है कि बिग़ैर इजाज़ते मालिक दूसरे लोग अपने खेतों की उस से आब'पाशी नहीं कर सकते।

मसअ्ला.11:– बाज़ जगह मकानों में हौज़ बना रखते हैं बरसाती पानी उसमें जमअ् कर लेते हैं और अपने इस्तेअ्माल में लाते हैं अ़रबी में ऐसे हौज़ को सहरीज कहते हैं (हिन्दुस्तान में बिफ़ज़्लिही

तआ़ला पानी की कस्रत है सहरीज बनाने की ज़रूरत नहीं मगर जहाँ पानी की कमी है बनाना पड़ता ही है जैसाकि मारवाड़ के बाज़ इलाक़ों में बकस्रत हैं) यह पानी ख़ास उस शख़्स की मिल्क है जिसके घर में है और यह पानी वैसा ही है जैसा घड़े वग़ैरा में भर लिया जाता है कि बिग़ैर इजाज़ते मालिक कोई शख़्स अपने किसी सर्फ़ में नहीं ला सकता। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.12:– बारिश के वक़्त आंगन या छत पर पानी जमअ् करने के लिये तश्त या कूंडा वग़ैरा रख दिया है तो जो कुछ पानी जमअ् होगा उसका है जिसने तश्त वग़ैरा रखा है दूसरा शख़्स इस पानी को नहीं ले सकता और अगर पानी जमा करने के लिये तश्त नहीं रखा है तो जो चाहे लेले उसको मना नहीं किया जा सकता। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.13:– ज़मीन ग़ैर मम्लूका (वह ज़मीन जो किसी की मिल्कियत में न हो) की घास किसी की मिल्क नहीं जो चाहे काट लाये या अपने जानवरों को चराये दूसरा शख़्स इस को मनअ् नहीं कर सकता है यह घास दरिया के पानी की तरह सब के लिये मुबाह है ज़मीने मम्लूका में घास ख़ुद ही जमी है, बोई नहीं गई है, यह घास भी मालिके ज़मीन की मिल्क नहीं जब तक उसे महफ़ूज़ न कर ले जो चाहे उसको ले सकता है मगर मालिके ज़मीन दूसरे लोगों को अपनी ज़मीन में आने से रोक सकता है, इस सूरत में अगर मालिके ज़मीन लोगों को और उनके जानवरों को अपनी ज़मीन में आने से मनअ् करता है और लोग यह कहते हैं कि हम घास काटेंगे या अपने जानवर चरायेंगे अगर क़रीब में ज़मीने ग़ैर मम्लूका है जिसमें घास मौजूद है तो लोगों से कहा जायेगा कि अपने जानवरों को वहाँ चरालो या वहाँ से घास काटलो और अगर ज़मीन क़रीब में न हो तो मालिके ज़मीन से कहा जायेगा कि उन लोगों को इजाज़त दो या तुम ख़ुद अपनी ज़मीन से घास काटकर उनको देदो और अगर मालिके ज़मीन ने घास काटकर महफ़ूज़ करली तो दूसरा शख़्स इस को ले नहीं सकता कि यह मम्लूक होगई, अगर मालिके ज़मीन ने घास बो रखी है या अपनी ज़मीन को जोतकर उसमें पानी दिया है और उसी लिये छोड़ रखा है कि उसमें घास जमे, तो यह घास मालिके ज़मीन की है, दूसरा शख़्स न उसे ले सकता है, न अपने जानवरों को चरा सकता है किसी दूसरे ने यह घास काटली तो मालिक, ज़मीन वाला उसको वापस लेसकता है और इस घास को बेच सकता है(आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– आग में भी सब लोग शरीक हैं दूसरों को मनअ् नहीं कर सकता यानी अगर किसी ने मैदान में आग जलाई है तो जिसका जी चाहे ताप सकता है अपने कपड़े उससे सुखा सकता है उसकी रौश्नी में काम कर सकता है मगर बिग़ैर इजाज़त उसमें से अंगारा नहीं ले सकता अगर किसी ने उसमें से थोड़ी सी आग लेली कि बुझाने के बाद इतने कोयले नहीं होंगे जिस की कुछ क़ीमत हो तो इस से वापस नहीं ले सकता और इतनी आग बिग़ैर इजाज़त भी ले सकता है कि आ़दतन इस को कोई मनअ् नहीं करता और अगर इतनी ज़्यादा है कि बुझने के बाद कोयलों की क़ीमत होगी तो वापस ले सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– कुंए या हौज़ या नहरे ख़ास के पानी से रोकता है और उस शख़्स को रोका गया प्यास से हलाकत का अन्देशा है या उसके जानवर के हलाक होने का डर है तो ज़बर'दस्ती पानी वसूल करे न दे तो लड़कर ले अगर्चे हथियार से लड़ना पड़े और बर्तन में जमअ् कर रखा है तो इसमें भी लड़कर वसूल करने की इजाज़त है मगर यहाँ हथियार से लड़ने की इजाज़त नहीं और यह हुक्म उस वक़्त है कि पानी उसकी हाजत से ज़ायद है यही हुक्म मख़मसा का भी है कि किसी को भूक से हलाकत का अन्देशा है और दूसरे के पास हाजत से ज़ायद खाना है और इसको नहीं देता तो लड़ सकता है मगर हथियार से लड़ने की इजाज़त नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

अश्रिबा का बयान

हदीस (1) सहीह मुस्लिम में आइशा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से मरवी है कि कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के लिये मश्क में हम नबीज़ बनाते सुबह को बनाते तो इशा तक पीते,

हदीस (2) सहीह मुस्लिम में इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के लिये अव्वल शब में नबीज़ बनाई जाती सुबह के वक़्त उसे पीते, दिन में और रात में, फिर दूसरे रोज़ दिन और रात में और तीसरे दिन अ़स्र तक फिर अगर बच रहती तो ख़ादिम को पिला देते या गिरादी जाती। (यह जाड़े के ज़माने में होता) और इशा को बनाते तो सुबह तक पीते, यह गर्मी के ज़माने में होता था।

हदीस (3) सहीह मुस्लिम में जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के लिये मश्क में नबीज़ बनाई जाती मश्क न होती तो पत्थर के बर्तन में बनाई जाती।

हदीस (4) इमाम बुख़ारी अपनी सहीह में सहल इब्ने सअ़द रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत करते हैं कि अबू उसैद साइदी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए और हुज़ूर को अपनी शादी की दअ़वत दी (जब हुज़ूर तशरीफ़ लाये) तो उनकी ज़ौजा जो दुल्हन थीं वही ख़ादिम का काम अन्जाम दे रही थीं उन्होंने हुज़ूर के लिये पानी में खजूरें रात में डाल दी थीं वही पानी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को पिलाया।

हदीस (5) इमाम बुख़ारी ने अपनी सहीह में रिवायत की है कि हज़रत उमर और अबूउ़बैदा और मआ़ज़ रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम ने मुस़ल्लस़ (अंगूर का शीरा जो पकाने के बाद एक तिहाई रहजाता है) के पीने को जाइज़ फ़रमाया है और बर्रा बिन आ़ज़िब व अबू जुहैफ़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा ने निस्फ़ हिस्सा पका देने के बाद अंगूर का शीरा पिया इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा ने कहा कि अंगूर का रस जब तक ताज़ा है पियो।

हदीस (6) बुख़ारी ने अपनी सहीह में अबूजुवैरिया रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने इब्ने अ़ब्बास से बाज़क़ (एक किस्म की शराब है) के बारे में दरयाफ़्त किया तो फ़रमाया कि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम बाज़क़ से पहले गुज़र चुके हैं लिहाज़ा जो नशा पैदा करे वह हराम है और फ़रमाया कि पीने की चीज़ें हलाल व तय्यिब हैं और हलाल के एलावा हराम व ख़बीस़ हैं।

हदीस (7) इमाम बुख़ारी अपनी सहीह में अबूहुरैरा से रिवायत करते हैं कि बेशक मेअ़्राज की रात ईलिया (बैतुल मक़दिस) में हुज़ूर के सामने दो प्याले पेश किये गये एक शराब का दूसरा दूध का हुज़ूर ने दोनों को देख कर दूध का प्याला लेलिया जिब्रील ने कहा अल्हमदु लिल्लाहि ख़ुदा तआ़ला ने आप को फ़ितरत की हिदायत की अगर आप शराब ले लेते तो आपकी उम्मत गुमराह होजाती।

हदीस (8) अबूदाऊद व इब्ने माजा ने अबू मालिक अश्अ़री रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "मेरी उम्मत के कुछ लोग ख़म्र (शराब) पियेंगे और इस का नाम कुछ दूसरा रख लेंगे"।

मसाइले फ़िक़्हिया

लुग़त में पीने की चीज़ को शराब कहते हैं और इस्तिलाहे फुक़हा में शराब उसे कहते हैं जिससे नशा होता है इस की बहुत क़िस्में हैं **ख़म्र** अंगूर की शराब को कहते हैं यानी अंगूर का कच्चा पानी जिस में जोश आजाये और शिद्दत पैदा होजाये। इमामे आज़म रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के नज़्दीक यह भी ज़रूरी है कि इसमें झाग पैदा हो और कभी हर एक शराब को मजाज़न ख़म्र कह देते हैं।

मसअ्ला.1:– ख़म्र हराम बिऐनिही है इस की हुर्मत नस्से क़तई से स़ाबित है और इसकी हुरमत पर तमाम मुसलमानों का इजमाअ़ है इस का क़लील व कसीर सब हराम है और यह पेशाब की तरह नजिस है और इसकी निजासत ग़लीज़ा है जो इसको हलाल बताये काफ़िर है नस्से क़ुर्आनी का मुन्किर है मुस्लिम के हक़ में यह मुतक़व्विम नहीं यानी अगर किसी ने मुसलमान की यह शराब तल्फ़ करदी तो इस पर ज़मान नहीं और इसको ख़रीदना सहीह नहीं इससे किसी क़िस्म का इन्तिफ़ाअ़ (फ़ायदा हासिल करना) जाइज़ नहीं न दवा के तौर पर इस्तेअ़्माल कर सकता है न जानवर

को पिला सकता है न इस से मिट्टी भिगो सकता है न हुक़्ना के काम में लाई जा सकती है उस के पीने वाले को ह़द मारी जायेगी अगर्चे नशा न हुआ हो। (दुर्रेमुख़्तार वग़ैरा)

मसअ्ला.2:– जानवरों के ज़ख़्म में भी बत़ौर इलाज उसको नहीं लगा सकते। (आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– शीरा अंगूर का पकाया यहाँ तक कि वह तिहाई से कम जल गया य़ानी एक तिहाई से ज़्यादा बाक़ी है और इसमें नशा हो यह भी ह़राम और नजिस है। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.4:– रत़ब य़ानी तर खजूर का पानी और मुनक़्क़ा को पानी में भिगोया गया जब यह पानी तेज़ हो जाये और झाग फेंके यह भी ह़राम नजिस हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– शहद, इंजीर, गेहूँ, जौ वग़ैरा की शराबें भी ह़राम हैं मस्लन यहाँ हिन्दुस्तान में महुवे की शराब बनती है जब उन में नशा हो ह़राम हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– काफ़िर या बच्चा को शराब पिलाना भी ह़राम अगर्चे बत़ौर इलाज पिलाये और गुनाह इसी पिलाने वाले के ज़िम्मे है (हिदाया) बाज़ मुसलमान अंग्रेज़ों की दअ्वत करते हैं और शराब भी पिलाते हैं वह गुनाहगार हैं इस शराब नोशी का वबाल उन्हीं पर है।

मसअ्ला.7:– नबीज़ य़ानी खजूर या मुनक़्क़ा को पानी में भिगोया जाये वह पानी नशा पैदा होने से पहले पिया जाये यह जाइज़ है अह़ादीस़ से इस का जवाज़ स़ाबित है।

मसअ्ला.8:– तोंबे और हर क़िस्म के बर्तनों में नबीज़ बनाना जाइज़ है बाज़ बर्तनों में नबीज़ बनाने की इब्तिदा में मुमानअ़त आई थी मगर बाद में यह मुमानअ़त मन्सूख़ होगई।

मसअ्ला.9:– घोड़ी के दूध में भी नशा होता है इस का पीना भी ना'जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.10:– भांग और अफ़यून इतनी इस्तेअ़्माल करना कि अ़क़्ल फ़ासिद होजाये ना'जाइज़ है जैसाकि अफ़यूनी और भंगीड़े इस्तेअ़्माल करते हैं और कमी के साथ इतनी इस्तेअ़्माल की गई कि अ़क़्ल में फ़ुतूर नहीं आया जैसाकि बाज़ नुस्ख़ों में अफ़्यून क़लील जुज़ होता है कि फ़ी ख़ुराक इस का इतना ख़फ़ीफ़ जुज़ होता है कि इस्तेअ़्माल करने वाले को पता भी नहीं चलता कि अफ़यून खाई है इस में ह़रज नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– बाज़ औरतें बच्चों को अफ़्यून खिलाया करती हैं और उनकी ग़र्ज़ यह होती है कि इस के नशे में पड़ा रहेगा परेशान नहीं करेगा यह भी ना'जाइज़ है क्योंकि बच्चे को अगर्चे थोड़ी मिक़दार में दी जाती है मगर वह इतनी ज़रूर होती है कि इस की अ़क़्ल में फ़ुतूर आजाये।

मसअ्ला.12:– चांडो और मदक भी अफ़्यून के इस्तेअ़्माल के त़रीक़े हैं कि इस का धुँवां पिया जाता है जैसाकि तम्बाकू का पीते हैं यह भी ना'जाइज़ है बल्कि ग़ालिबन अफ़्यून इस्तेअ़्माल करने की सब सूरतों में यह सूरत ज़्यादा क़बीह़ (बुरी) व मुज़िर है।

मसअ्ला.13:– चर्स गांजा यह भी ऐसी चीज़ है कि इससे अ़क़्ल में फ़ुतूर आ जाता है इस का भी पीना ना'जाइज़ है।

मसअ्ला.14:– जौज़ुत्तय्यिब (एक क़िस्म का ख़ुश्बूदार फल) में नशा होता है इस का इस्तेअ़्माल भी इतनी मिक़दार में ना'जाइज़ है कि नशा पैदा होजाये अगर्चे इस का हुक्म भंग से कम दर्जे का है।

मसअ्ला.15:– ख़ुश्क चीज़ें जो नशा लाती हैं जैसे भंग वग़ैरा यह नजिस नहीं हैं लिहाज़ा ज़िमाद वग़ैरा में ख़ारिजी त़ौर पर अंगूर इस्तेअ़्माल करने में कोई ह़रज नहीं कि इस त़रह इस्तेअ़्माल में नशा नहीं पैदा होगा फिर ना'जाइज़ क्यों हो।

मसअ्ला.16:– हुक़्क़ा के मुतअ़ल्लिक़ उ़लमा के मुख़्तलिफ़ अक़्वाल हैं मगर क़ौले फ़ैसल यह है कि उस की मुतअ़द्दिद सूरतें हैं एक यह कि हुक़्क़ा पीकर अ़क़्ल जाती रहती है जैसाकि रामपुर, बरेली शाहजहाँपुर में बाज़ लोग रमज़ान शरीफ़ में इफ़्तार के बाद ख़ास़ एहतिमाम से हुक़्क़ा भरते हैं और इस ज़ोर से दम लगाते हैं कि चिलिम से ऊँची ऊँची लौ उठती है और पीने वाले बेहोश होकर गिर पड़ते हैं और बहुत देर तक बेहोश पड़े रहते हैं पानी के छींटे देने और पानी पिलाने से होश आता है

इस तरह हुक्का पीना हराम है दूसरी सूरत यह है कि न बेहोश हो न अक्ल में फ़ुतूर पैदा हो मगर घटिया, खराब तम्बाकू पिया जाये और हुक्का ताजा करने का भी बिल्कुल खयाल न हो जिससे मुँह मे बदबू हो जाती है ऐसा हुक्का मकरूह है और इस हुक्का को पीकर बिगैर मुँह साफ किए मस्जिद मे जाना मनअ है इसका वही हुक्म है जो कच्चे लहसुन, प्याज खाने का है तीसरी सूरत यह है कि तम्बाकू भी अच्छा हो और हुक्का भी बार बार ताजा किया जाता हो कि पीने से मुँह में बदबू न पैदा हो यह मुबाह है इसमें असलन कराहत नहीं बाज लोगों ने हुक्का के हराम बताने में निहायत ग़ुलू किया और हद से तजावुज किया यहाँ तक कि इसके मुतअल्लिक हदीसें भी मआजल्लाह वजअ़ करडालीं उन की बातें काबिले एअ़तिबार नहीं।

मसअ्ला.17:– कहवा, काफी, चाय, का पीना जाइज है कि उनमें न नशा है न तफ़्तीरे अक्ल (अक्ल की खराबी) अलबत्ता यह चीजें खुश्की लाती हैं और नींद को दफअ् करती हैं इसी लिये मशाइख उन को पीते हैं कि नींद का गल्बा जाता रहे और शब बेदारी में मदद मिले और कस्ल (सुस्ती) और काहिली को भी यह चीजें दफअ करती हैं।

मसअ्ला.18:– जिस शख्स को अफ़यून की आदत है उसे लाजिम है कि तर्क करे अगर एक दम छोड़ने में हलाकत का अन्देशा है तो आहिस्ता आहिस्ता कमी करता रहे यहाँ तक कि आदत जाती रहे और ऐसा न किया तो गुनहगार व फासिक है। (रद्दुलमुहतार)

शिकार का बयान

अल्लाह अज्ज व जल्ल फरमाता है

﴿يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ﴾

"ऐ ईमान वालो! अपने कौल पूरे करो तुम्हारे लिए हलाल हुए बेजबान मवेशी मगर यह जो आगे सुनाया जायेगा तुमको लेकिन शिकार हलाल न समझो जब तुम एहराम में हो"

और फ़रमाता है

﴿وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا﴾ "और जब तुम एहराम से बाहर होजाओ तो शिकार कर सकते हो"

और फ़रमाता है।

﴿يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ فَكُلُوْا مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ﴾

"ऐ महबूब तुम से पूछते है कि उनके लिये क्या हलाल हो। तुम फरमादो हलाल की गईं तुम्हारे लिये पाक चीजें और जो शिकारी जानवर तुमने सिखा लिये उन्हें शिकार पर दौड़ाते हो जो इल्म तुम्हें खुदा ने दिया उस में उन्हें सिखाते तो खाओ उस में से जो मारकर तुम्हारे लिये रहने दें और उस पर अल्लाह का नाम लो और अल्लाह से डरते रहो। बेशक अल्लाह जल्द हिसाब करने वाला है

और फ़रमाता है।

﴿يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ﴾

ऐ ईमान वालो शिकार न मारो जब तुम एहराम में हो"

﴿اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾

"दरया का शिकार तुम्हारे लिए हलाल है और इस का खाना तुम्हारे और मुसाफिरों के फाइदा को और तुम पर हराम है खुश्की का शिकार जब तक तुम एहराम मे हो"।

हदीस् (1) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "शिकार को हलाल जानो इस लिये कि अल्लाह अज्ज़ व जल्ल ने इस को हलाल फरमाया मुझसे पहले अल्लाह के बहुत से रसूल थे वह सब शिकार किया करते थे। अपने लिये और अपने बाल बच्चों के लिये हलाल रिज्क तलाश करो इस लिये कि यह भी जिहाद फी सबीलिल्लाह की तरह है और जान लो कि अल्लाह सालेह तुज्जार का मददगार है"।

हदीस् (2) सहीह बुखारी व मुस्लिम में अदी इब्ने हातिम रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जब तुम अपना कुत्ता छोड़दो तो

बिस्मिल्लाह कहलो अगर उसने पकड़ लिया और तुमने जानवर को ज़िन्दा पा लिया तो ज़बह कर लो और अगर कुत्ते ने मार डाला है और इसमें से कुछ खाया नहीं तो खाओ और अगर खालिया तो न खाओ क्योंकि उसने अपने लिए शिकार पकड़ा और अगर तुम्हारे कुत्ते के साथ दूसरा कुत्ता शरीक हो गया और जानवर मरगया तो न खाओ क्योंकि तुम्हें यह नहीं मालूम कि किसने क़त्ल किया और जब शिकार पर तीर छोड़ो तो बिस्मिल्लाह कहलो और अगर शिकार ग़ाइब होगया और एक दिन तक न मिला और इस में तुम्हारे तीर के सिवा कोई दूसरा निशान नहीं है तो अगर चाहो खा सकते हो और अगर शिकार पानी में डूबा हुआ मिला तो न खाओ"।

हदीस् (3) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अदी इब्ने हातिम रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हम सिखाये हुए कुत्ते को शिकार पर छोड़ते हैं फ़रमाया कि "जो तुम्हारे लिये उसने पकड़ा है उसे खाओ" मैंने अर्ज़ की अगर्चे मारडालें फ़रमाया "अगर्चे मारडालें" मैंने अर्ज़ की हम तीर से शिकार करते हैं फ़रमाया "तीर ने जिसे छेद दिया उसे खाओ और पट तीर शिकार को लगे और मरजाये तो न खाओ क्योंकि दबकर मरा है"।

हदीस् (4) इमाम बुख़ारी ने अता रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की अगर कुत्ते ने शिकार का ख़ून पी लिया और गोश्त न खाया तो इस जानवर को खा सकते हो।

हदीस् (5) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अबू सअलबा खुशनी रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कहते हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हम अहले किताब की ज़मीन में रहते हैं क्या उनके बर्तन में खा सकते हैं और शिकार की ज़मीन में रहते हैं और मैं कमान से शिकार करता हूँ और ऐसे कुत्ते से शिकार करता हूँ जो मोअल्लिम नहीं है और मोअल्लिम कुत्ते से भी शिकार करता हूँ उसमें क्या चीज़ मेरे लिये दुरुस्त है। इरशाद फ़रमाया "वह जो तुमने अहले किताब के बर्तन का ज़िक्र किया उस का हुक्म यह है कि अगर तुम्हें दूसरा बर्तन मिले तो उसमें न खाओ और दूसरा बर्तन न मिले तो उसे धोलो फिर खाओ। और कमान से जो तुमने शिकार किया और बिस्मिल्लाह कहली तो खाओ और मोअल्लिम कुत्ते से जो शिकार किया और बिस्मिल्लाह कहली तो खाओ और ग़ैर मोअल्लिम से जो शिकार किया है और उसे ज़बह कर लिया तो खाओ"।

हदीस् (6) सहीह मुस्लिम में उन्हीं से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब तीर से शिकार मारो ग़ाइब हो जाये फिर मिलजाये तो खालो जब कि बदबू'दार न हो।

हदीस् (7) अबूदाऊद ने अदी हातिम रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "कुत्ते या बाज़ को अगर तुमने सिखा लिया है फिर उसे शिकार पर छोड़ते वक़्त बिस्मिल्लाह कह ली है तो खाओ जो तुम्हारे लिए पकड़ा है"।

हदीस् (8) किताबुल'आसार में इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि अलैहि ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की है कि तुम्हारे कुत्ते ने जिस चीज़ को तुम्हारे लिये पकड़ा उसे खाओ अगर वह सीखा हुआ हो, फिर अगर इस कुत्ते ने उससे कुछ खालिया तो न खाओ इस लिये कि उसने अपने ही लिये पकड़ा है लेकिन अगर शिकरा और बाज़ ने खा भी लिया है तब भी खा सकते हो इस वास्ते कि इस की तअलीम यह है कि जब तुम उसे बुलाओ तो आ जाये और वह तुम्हारी मार की बरदाश्त नहीं कर सकता कि मार खाना छुड़ादो।

हदीस् (9) अबूदाऊद ने उन्हीं से रिवायत की कहते हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं शिकार को तीर मारता हूँ और दूसरे दिन अपना तीर उस में पाता हूँ फ़रमाया कि जब तुम्हें मालूम हो कि तुम्हारे तीर ने उसे मारा है और उस में किसी दरिन्दे का निशान न देखो तो खालो।

हदीस् (10) इमाम अहमद ने अब्दुल्लाह बिन अम्र रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर ने फ़रमाया "ऐसी चीज़ को खाओ जिसको तुम्हारी कमान या तुम्हारे हाथ ने शिकार किया हो ज़बह किया हो या न किया हो अगर्चे वह आँखों से ग़ाइब होजाये जब तक इस में तुम्हारे तीर के सिवा दूसरा निशान न हो"।

हदीस् (11) तिर्मिज़ी ने जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कहते हैं मजूसी के कुत्ते ने जो शिकार किया है उसकी हमें मुमानअत है।

हदीस् (12) इमाम बुख़ारी ने अपनी सहीह में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की फ़रमाते हैं कि गुल्ला मारने से जो जानवर मर गया वह मौकूज़ा है।(वह जानवर जिस को लकड़ी वग़ैरह से चोट लगाई जाये और वह चोट खाकर मर जाये यानी इस का खाना हराम है)

हदीस् (13) सहीह बुख़ारी में है कि हज़रत हसन बसरी और इब्राहीम नख़्ई रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फ़रमाया कि जब शिकार को मारा जाये और उसका हाथ या पैर कटकर अलग होजाये तो अलग होने वाले को न खाया जाये और बाक़ी को खा सकता है इब्राहीम नख़्ई फ़रमाते हैं कि जब गर्दन या वस्ते जिस्म (जिस्म के दरम्यान) में मारो तो खा सकते हो (यानी गर्दन जुदा हो जाये या वस्त से कट जाये तो इस टुकड़े को भी खाया जायेगा)।

हदीस् (14) तिब्रानी और हाकिम और बैहक़ी व इब्ने असाकिर ने ज़िर्बिन बिन जुवैश से रिवायत की उन्होंने हज़रत उमर इब्नुलख़त्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु से सुना वह फ़रमाते हैं कि ख़रगोश को लकड़ी या पत्थर से मार कर (बिग़ैर ज़ब्ह किये) न खाओ लेकिन भाले और बरछी और तीर से मार कर खाओ।

हदीस् (15) सहीह बुख़ारी में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जानवरों की हिफ़ाज़त और शिकारी कुत्ते के सिवा जिसने और कुत्ता पाला उसके अमल से हर दिन दो क़ीरात कम हो जायेगा"।

मसाइले फ़िक़्हिया

मसअ्ला.1:– शिकार उस वहशी जानवर को कहते हैं जो आदमियों से भागता हो और बिग़ैर हीला न पकड़ा जा सकता हो और कभी फ़ेअ्ल यानी उस जानवर के पकड़ने को भी शिकार कहते हैं हराम व हलाल दोनों क़िस्म के जानवर को शिकार कहते हैं। शिकार से जानवर हलाल होने के लिए पन्द्रह शर्तें हैं। पाँच शिकार करने वाले में, और पाँच कुत्ते में, और पाँच शिकार में। (1)शिकारी उन में से हो जिनका ज़बीहा जाइज़ होता है (2)उसने कुत्ते वग़ैरा को शिकार पर छोड़ा हो। (3)छोड़ने में ऐसे शख़्स की शिरकत न हो जिसका शिकार हराम हो (4)बिस्मिल्लाह क़स्दन तर्क न की हो (5)छोड़ने और पकड़ने के दरम्यान किसी दूसरे काम में मशग़ूल न हुआ हो। (6)कुत्ता मोअ़ल्लिम (सिखाया हुआ) हो (7)जिधर छोड़ा गया हो उधर ही जाये (8)शिकार पकड़ने में ऐसा कुत्ता शरीक न हुआ हो जिस का शिकार हराम है (9)शिकार को ज़ख़्मी करके क़त्ल करे (10)उस में से कुछ न खाये (11)शिकार हशरातुलअर्द में से न हो (12)पानी वाला जानवर हो तो मछली ही हो (13)बाज़ूओं या पावों से अपने आप को शिकार से बचाये (14)कीले या पन्जे वाला जानवर न हो (गोश्तख़ोर जानवरों के वह दोनों बडे दांत जिनके जरीए से वह गोश्त काटते या शिकार पकड़ते हैं) (15)शिकारी के वहाँ तक पहुँचने से पहले ही मर जाये यानी ज़बह करने का मौक़ा ही न मिला हो।

यह शराइत उस जानवर के मुतअ़ल्लिक़ हैं जो मर गया हो और उस का खाना हलाल हो।

मसअ्ला.2:– शिकार करना एक मुबाह फ़ेअ्ल है मगर हरम या एहराम में ख़ुश्की का जानवर शिकार करना हराम है इसी तरह अगर शिकार महज़ लहव (खेल) के तौर पर हो तो वह मुबाह नहीं (दुर्रेमुख़्तार) अकसर इस फ़ेअ्ल से मक़सूद ही खेल और तफ़रीह होती है इसी लिये उर्फ़े आम में शिकार खेलना बोला जाता है जितना वक़्त और पैसा शिकार में ख़र्च किया जाता है अगर इस से बहुत कम दामों में घर बैठे उन लोगों को वह जानवर मिल जाया करे तो हरगिज़ राज़ी न होंगे वह यही चाहेंगे कि जो कुछ हो हम तो ख़ुद अपने हाथ से शिकार करेंगे इस से मालूम हुआ कि उनका मक़सद खेल और लहव ही है शिकार करना जाइज़ व मुबाह उस वक़्त है कि उसका सहीह

मक़सद हो मस्लन खाना या बेचना या दोस्त अहबाब को हदिया करना या उसके चमड़े को काम में लाना या उस जानवर से अज़ियत का अन्देशा है इस लिये क़त्ल करना वग़ैरा'ज़ालिक।

मसअ्ला.3:– जिस जानवर का गोश्त हलाल है उसके शिकार से बड़ा मक़सूद खाना है और हराम जानवर को भी किसी ग़र्ज़े सहीह से शिकार करना जाइज़ है मस्लन उसकी खाल या बाल को काम में लाना मक़सूद है या वह मूज़ी जानवर है उसके ईज़ा से बचना मक़सूद है। (शलबिया) बाज़ आदमी जंगली ख़िन्ज़ीर का शिकार करते हैं या शेर वग़ैरा का जंगलों में जाकर शिकार करते हैं इस ग़र्ज़ से नहीं कि लोगों को उनकी अज़ियत से बचायें बल्कि महज़ तफ़रीह की ख़ातिर और अपनी बहादुरी के लिये इस क़िस्म के शिकार खेले जाते हैं यह शिकार मुबाह नहीं।

मसअ्ला.4:– शिकार को पेशा बना लेना और कस्ब का ज़रीआ कर लेना जाइज़ है बाज़ फ़ुक़्हा ने इस को ना'जाइज़ या मकरूह कहा यह सहीह नहीं क्योंकि कराहत जब ही हो सकती है कि इस के लिये दलीले शरई हो और दलील में यह कहना कि जान मारने का पेशा कर लेना क़सावते क़ल्ब (दिल की सख़्ती) का सबब होता है इस से भी कराहत साबित नहीं सिर्फ़ इतना ही साबित होगा कि दूसरे जाइज़ पेशे इस से बेहतर हैं वरना लाज़िम आयेगा कि क़साब का पेशा भी मकरूह हो हालाकि इस की कराहत का क़ौल किसी से मन्क़ूल नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.5:– जंगली जानवर को जो शख़्स पकड़ले उसकी मिल्क होजाता है पकड़ना हक़ीक़तन हो या हुक्मन। हुक्मन की सूरत यह है कि जो चीज़ शिकार के लिये मौज़ूअ् हो उसका इस्तेअ्माल करे और इस्तेअ्माल से मक़सूद शिकार करना न हो लिहाज़ा अगर जाल ताना और उस में जानवर फंस गया तो जाल वाले का होगया जाल उसी मक़सद से ताना हो या कुछ मक़सद न हो हाँ अगर सिखाने के लिये ताना तो उसकी मिल्क नहीं जब तक पकड़ न ले हुकमन पकड़ने की दूसरी सूरत यह है कि जो चीज़ शिकार के लिये मौज़ूअ् न हो उसको ब'क़स्द शिकार इस्तेअ्माल करे मस्लन शिकार पकड़ने के लिये डेरा नसब किया और उस में शिकार आगया और बन्द होगया तो डेरा वाला मालिक होगया या मकान का दरवाज़ा इस ग़र्ज़ से खोल रखा था उस में हिरन आ गया और दरवाज़ा बन्द कर लिया। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.6:– जाल ताना था उसमें शिकार फंसा किसी दूसरे ने उस को पकड़ लिया तो शिकार वाले का है उसका नहीं जिसने पकड़ लिया हाँ अगर वह जाल से निकलकर भाग गया या उड़गया और दूसरे ने पकड़ लिया तो उसी पकड़ने वाले का है जाल वाले का नहीं और अगर जाल में फंसा और जाल वाले ने पकड़लिया फिर उससे छूट कर भागा और दूसरे ने पकड़ा तो जाल वाले ही का है कि पकड़ने से उसकी मिल्क होगया और भागने से मिल्क नहीं जाती। (आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– पानी काटकर अपनी ज़मीन में लाया इस ग़र्ज़ से पानी के साथ मछलियाँ आयेंगी और उनको शिकार करेगा पानी के साथ मछलियाँ आईं और पानी जाता रहा मछलियाँ ज़मीन पर पड़ी हैं या थोड़ासा पानी बाक़ी है कि बिग़ैर शिकार किये मछलियाँ वैसे ही पकड़ी जा सकती हैं यह मछलियाँ ज़मीन वाले की हैं दूसरा शख़्स उनको नहीं पकड़ सकता जो पकड़ेगा उसे तावान देना होगा और अगर पानी ज़्यादा है कि बिग़ैर शिकार किये मछलियाँ हाथ नहीं आतीं तो जो चाहे पकड़ले तो यही पकड़ने वाला मालिक है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– एक शख़्स ने पानी में जाल डाला दूसरे शिस़ (मछली पकड़ने का कांटा) फेंकी मछली जाल में आई और उसने शिस़ को भी पकड़ लिया अगर जाल के बारीक हिस़्से में आ चुकी है तो जाल वाले की है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– पानी में कांटा डाला मछली फंसी उसने बाहर फेंकी खुश्की में गिरी और ऐसी जगह गिरी कि यह उसके पकड़ने पर क़ादिर है फिर तड़प कर पानी में चली गई तो यह शख़्स उसका मालिक होगया और अगर बाहर निकालने से पहले ही डोरा टूट गया तो मालिक न हुआ। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– किसी ने गड्ढा खोदा था उसमें शिकार आकर गिरा तो जो शख़्स पकड़ले उसी का है और अगर गड्ढा खोदने से मक़सूद ही यह था कि उसमें शिकार गिरेगा और पकड़ूँगा तो शिकार उसी का है दूसरे को उसका पकड़ना जाइज़ नहीं। (ख़ानिया)
मसअ्ला.11:– कुंवाँ खोदा था और यह मक़सद न था कि इस के ज़रीआ से शिकार पकड़ेगा इस में शिकार गिरा अगर कुंऐं वाला वहाँ से क़रीब है कि हाथ बढ़ाकर शिकार पकड़ सकता है उसी का है दूसरा शख़्स नहीं पकड़ सकता। (आलमगीरी)
मसअ्ला.12:– फन्दे में शिकार फंसा मगर रस्सी तुड़ाकर भागा दूसरे ने पकड़ लिया तो उसी का है और अगर फन्दे वाला इतना क़रीब आचुका था कि हाथ बढ़ाकर पकड़ सकता है इतने में शिकार ने रस्सी तुड़ाई और दूसरे ने पकड़ लिया तो फन्दे वाले का है। (रद्दुलमुहतार)
मसअ्ला.13:– किसी के मकान में दूसरे लोगों के कबूतरों ने अन्डे बच्चे किये तो यह अन्डे बच्चे उसी के हैं जिसके कबूतर हैं दूसरे लोगों को या मालिक मकान को इनका पकड़ना और रखना जाइज़ नहीं। (आलमगीरी)
मसअ्ला.14:– शिकार को मारा वह ज़ख़्मी नहीं हुआ मगर चोट से बेहोश होगया थोड़ी देर बाद उठ के भागा अब दूसरे शख़्स ने मारा और पकड़ लिया तो इसी दूसरे का है और अगर बेहोशी में पहले शख़्स ने पकड़ लिया था तो पहले का है और अगर शिकार ज़ख़्मी होगया था मगर पहले ने पकड़ा नहीं कुछ दिनों बाद अच्छा होगया फिर दूसरे ने मारा और पकड़ा तो इस का नहीं पहले ही शख़्स का है। (आलमगीरी) शिकार की मिल्क के मुतअ़ल्लिक़ यह चन्द जुज़ईयात इस लिये ज़िक्र किये कि शिकारियों को शिकार के लेने में इस क़द्र शग़फ़ (दिलचस्पी) होता है कि वह बिल्कुल इस बात का लिहाज़ नहीं रखते कि यह चीज़ हमें लेनी जाइज़ भी है या नहीं उन मसाइल से उन को यह करना चाहिए कि किस सूरत में हमारी मिल्क है और किस सूरत में दूसरे की ताकि अपनी मिल्क न हो तो लेने से बचें।

जानवरों से शिकार का बयान

मसअ्ला.1:– हर दरिन्दा जानवर से शिकार किया जा सकता है बशर्ते कि वह नजिसुलऐन न हो और इस में तअ़लीम की क़ाबिलयत हो और उसे सिखा भी लिया हो। दरिन्दे की दो क़िस्में हैं (1)चौपाया जैसे कुत्ता वग़ैरा जिसमें कीला होता है (2)पन्जा वाला परिन्द जैसे बाज़ू शिकरा वग़ैरा जिस दरिन्दा में क़ाबिलयते तअ़लीम न हो उसका शिकार हलाल नहीं मगर इस सूरत में कि शिकार पकड़कर ज़बह कर लिया जाये लिहाज़ा शेर और रीछ से शिकार हलाल नहीं कि उन दोनों में तअ़लीम की क़ाबिलयत ही नहीं शेर अपनी उ़लूए हिम्मत(बलन्द हिम्मती)और रीछ अपनी दिनात (कमीनगी) व ख़सासत (कमीनापन) की वजह से तअ़लीम की क़ाबिलयत नहीं रखते बाज़ फ़ुक़्हा ने चील को भी क़ाबिले तअ़लीम नहीं माना है कि यह भी अपनी ख़सासत की वजह से तअ़लीम नहीं हासिल करती। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.2:– कुत्ता, चीता वग़ैरा चौपाया के मुअ़ल्लिम होने की अ़लामत यह है कि पय'दरपे तीन मरतबा ऐसा हो कि शिकार को पकड़े और उसमें से न खाये तो मअ़लूम होगया कि यह सीख गया अब इसके बाद शिकार करेगा और वह मर भी जाये तो उसका खाना हलाल है बशर्ते कि दीगर शराइत भी पाये जायें कि उसका पकड़ना ही ज़बह के क़ाइम मक़ाम है और शिकरा, बाज़ वग़ैरा शिकारी परिन्द के मोअ़ल्लिम होने की पहचान यह है कि उसे शिकार पर छोड़ा उसके बाद वापस बुला लिया तो वापस आजाये अगर वापस न आया तो मालूम हुआ कि अभी तुम्हारे क़ाबू में नहीं है मोअ़ल्लिम नहीं हुआ। (हिदाया)
मसअ्ला.3:– कुत्ते ने शिकार पकड़ने के बाद उसका गोश्त नहीं खाया मगर ख़ून पी लिया तो कोई हरज नहीं, शिकरे, बाज़ वग़ैरा परिन्द शिकारियों ने अगर गोश्त में से कुछ खालिया तो जानवर हलाल है कि यह बात उसके मोअ़ल्लिम होने के ख़िलाफ़ नहीं और अगर मालिक ने शिकार में से टुकड़ा काटकर कुत्ते को दिया और उसने खाया तो मा'बक़िया गोश्त (बाक़ी बचा हुआ गोश्त) खाया

जायेगा कि इस सूरत में उसने ख़ुद नहीं खाया, मालिक ने खिलाया तब खाया इसी तरह अगर मालिक ने शिकार को महफ़ूज़ कर लिया उसके बाद कुत्ते ने उसमें से छीन झपट कर कुछ खालिया तो मा'बक़िया गोश्त जाइज़ है कि यह बात उसके मोअ़ल्लिम होने के ख़िलाफ़ नहीं। (ज़ैलई)

मसअ्ला.4:– कुत्ते को शिकार पर छोड़ा उसने शिकार की बोटी काटली और उसे खालिया उसके बाद शिकार को पकड़ा और मारडाला तो यह शिकार हराम है कि जब कुत्ते ने खालिया तो मोअ़ल्लिम न रहा और उसका मारा हुआ शिकार हलाल नहीं और अगर कुत्ते ने बोटी काटली मगर उसको खाया नहीं छोड़ दिया और शिकार का पीछा किया शिकार पकड़ने के बाद जब मालिक ने शिकार पर क़ब्ज़ा कर लिया अब कुत्ते ने वह बोटी खाई तो जानवर हलाल है। (ज़ैलई)

मसअ्ला.5:– यह ज़रूरी है कि शिकारी जानवर ने शिकार को ज़ख़्मी करके मारा हो महज़ दबोचने से मरगया हो तो खाना हलाल नहीं किसी ख़ास जगह पर ज़ख़्म करना ज़रूरी नहीं बल्कि जिस किसी मक़ाम पर घायल कर दिया हो हलाल होने के लिये काफ़ी है। (ज़ैलई) शिकरा अपने मालिक के पास से उड़गया एक मुद्दत के बाद फिर आगया मालिक ने उससे शिकार किया तो बिगै़र ज़बह यह शिकार हलाल नहीं कि भाग जाने से वह मोअ़ल्लिम न रहा अब फिर जब तक उस का मोअ़ल्लिम होना साबित न होजाये उसका मारा हुआ शिकार हलाल क़रार नहीं पायेगा। (ज़ैलई)

मसअ्ला.6:– जो कुत्ता मोअ़ल्लिम हो चुका था जब कभी शिकार में से कुछ खालेगा वह शिकार हराम है बल्कि उसके बाद शिकार भी हराम है बल्कि उससे पहले का शिकार जो अभी महफ़ूज़ है वह भी हराम, हाँ जो खाया जा चुका है उसको हराम नहीं कहा जा सकता उस कुत्ते को फिर से सिखाना होगा क्योंकि शिकार से खाने की वजह से मोअ़ल्लिम न रहा जाहिल होगया अब इस का शिकार उस वक़्त हलाल होगा कि सिखा लिया जाये। (हिदाया)

मसअ्ला.7:– मुस्लिम या किताबी ने बिस्मिल्लाह पढ़कर शिकारी जानवर को शिकार पर छोड़ा तब मरा हुआ शिकार हलाल होगा अगर मजूसी या बुत'परस्त या मुर्तद ने छोड़ा तो हलाल नहीं जिस तरह उन का ज़बीहा हलाल नहीं अगर्चे उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी हो और अगर जानवर को छोड़ा नहीं बल्कि वह ख़ुद उसी अपने आप शिकार पर दौड़ पड़ा और पकड़कर मार डाला यह शिकार हराम नहीं यूंही अगर यह मालूम न हो कि किसने छोड़ा या ख़ुद ही जाकर पकड़ लाया यह मालूम नहीं कि किसने मुस्लिम ने या मजूसी ने तो जानवर हलाल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.8:– शिकार पर छोड़ते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया तो जानवर हलाल है जिस तरह ज़बह करते वक़्त अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना भूलगया तो हलाल है हराम उस वक़्त है जब क़स्दन न पढ़े। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.9:– शिकार पर छोड़ते वक़्त क़स्दन बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी बल्कि जब कुत्ते ने जानवर पकड़ा उस वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ी जानवर हलाल न हुआ कि बिस्मिल्लाह पढ़ना उस वक़्त ज़रूरी था अब पढ़ने से कुछ नहीं होता। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.10:– मुस्लिम ने शिकार पर कुत्ता छोड़ा मजूसी या हिन्दू ने कुत्ते को शह दी जैसा कि शिकार करते वक़्त कुत्ते को जोश दिलाते हैं इस के शह देने पर जोश में आया और शिकार मारा यह हलाल है और अगर मजूसी ने छोड़ा और मुस्लिम ने शह दी तो हराम है या'नी कुत्ता छोड़ने का एअ़्तिबार है इस का एअ़्तिबार नहीं कि किसने जोश दिलाया इसी तरह अगर मुहरिम (एहराम बांधे हुए) ने शह दी और शिकार पर जानवर उसने छोड़ा है जो एहराम नहीं बाँधे हुए है तो जानवर हलाल है मगर मुहरिम को इस सूरत में शिकार का फ़िदया देना होगा कि उसको शिकार में मुदाख़लत जाइज़ नहीं(ज़ैलई)

मसअ्ला.11:– कुत्ता छोड़ा नहीं गया बल्कि वह ख़ुद छूट गया और अपने आप शिकार पर दौड़ पड़ा किसी मुस्लिम ने उसको शह दी इससे जोश में आया और शिकार को मारा यह शिकार हलाल है इस सूरत में शह देना वही छोड़ने के क़ाइम मक़ाम है उन बातों में शिकरे और बाज़ का भी वही

हुक्म है जो कुत्ते का है। (जैलई)
मसअ्ला.12:– कुत्ते को शिकार पर छोड़ा उसने कई पकड लिये सब हलाल हैं और जिस शिकार पर छोड़ा उसको नहीं पकडा दूसरे को पकड़ा यह भी हलाल है और अगर कुत्ते को शिकार पर न छोड़ा हो बल्कि किसी और चीज़ पर छोड़ा और उसने शिकार मारा यह हलाल नहीं कि यहाँ शिकार करना ही नहीं है। (रद्दुलमुहतार)
मसअ्ला.13:– शिकारी जानवर को वहशी जानवर पर छोड़ना शिकार है अगर पलाऊ और मानूस जानवर पर कुत्ता छोड़ा जाये और वह मार डाले तो यह जानवर हलाल नहीं होगा कि ऐसे जानवरों के हलाल होने के लिये ज़बह करना ज़रूरी है ज़काते इज़्तिरारी यहाँ काफ़ी नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.14:– कुत्ते के साथ अगर शिकार करने में दूसरा कुत्ता जिसका शिकार हलाल न हो शरीक होगया तो यह शिकार हलाल न होगा मस्लन दूसरा कुत्ता जो मोअ़ल्लिम न था उसकी शिरकत में शिकार हुआ या मजूसी के कुत्ते की शिकरत में शिकार हुआ या दूसरे को किसी ने छोड़ा ही नहीं है अपने आप शरीक होगया इस दूसरे के छोड़ने के वक़्त क़स्दन बिस्मिल्लाह छोडदी उन सब सूरतों में वह जानवर मुर्दार है उसका खाना हराम है। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.15:– यह भी ज़रूरी है कि कुत्ते को जब शिकार पर छोड़ा जाये फ़ौरन दौड़ पड़े तवील वक़्फ़ा न होने पाये वरना जानवर हलाल न होगा, तूल वक़्फ़ा का यह मतलब है कि वह दूसरे काम में मशगूल न हो मस्लन छोडने के बाद पेशाब करने लगा या कुछ खाने लगा इस सूरत में शिकार हलाल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुल मुहतार)
मसअ्ला.16:– छोड़ने के बाद कुत्ता शिकार पर दौड़ा मगर बाद में शिकार से दाहिने या बायें को मुड गया या शिकार की तलब के सिवा किसी दूसरे काम में लग गया या सुस्त पड़गया फिर कुछ वक़्फ़ा के बाद शिकार का पीछा किया और जानवर को मारा इसका खाना हलाल नहीं हाँ उन सूरतों में अगर कुत्ते को फिर से छोड़ा जाता तो जानवर हलाल होता या मालिक के ललकारने से शिकार पर झपटता और मारता तो खाया जाता। (रद्दुलमुहतार)
मसअ्ला.17:– अगर कुत्ते का रुक जाना, छुप जाना आराम तलबी के लिये न हो बल्कि शिकार करने का यह हीला, दाव हो जिस तरह चीता शिकार को घात से पकड़ता है इसमें हरज नहीं(दुर्रे०)
मसअ्ला.18:– शिकार अगर जिन्दा मिलगया और जबह करने पर कुदरत है तो ज़बह करना ज़रूरी है कि ज़काते इज़्तिरारी मजबूरी की सूरत में है और यहाँ मजबूरी नहीं है और अगर जानवर उसको जिन्दा मिला मगर यह उसके जबह पर कुदरत नहीं रखता है कि वक़्त तंग है या ज़बह का आला मौजूद नहीं है इसकी दो सूरतें हैं अगर जानवर में हयात इतनी बाक़ी है जो मज़बूह (जबह किया हुआ) से ज़्यादा है तो हराम है वरना जाइज़ है।(हिदाया)
मसअ्ला.19:– शिकार तक पहुँच गया है मगर उसे पकडता नहीं अगर इतना वक़्त है कि पकडकर ज़बह कर सकता था मगर कुछ नहीं किया यहाँ तक कि मरगया तो जानवर न खाया जाये और वक़्त इतना नहीं है कि ज़बह कर सके तो हलाल है। (हिदाया)
मसअ्ला.20:– कुत्ते को शिकार पर छोड़ा उसने एक शिकार मारा फिर दूसरा मारा दोनों हलाल हैं अगर पहला शिकार करने के बाद देर तक रुका रहा फिर दूसरा मारा तो वह दूसरा हराम है कि पहले शिकार के बाद जब वक़्फ़ा हुआ तो शिकार पर छोड़ना दूसरे के बारे में नहीं पाया गया।(हिदाया)
मसअ्ला.21:– मोअ़ल्लिम कुत्ते के साथ दूसरे कुत्ते ने शिरकत की जिसका शिकार हराम है मगर उसने शिकार करने में शिरकत नहीं की है बल्कि यह कुत्ता घेर घार कर शिकार को उधर लाया और पहले ही कुत्ते ने शिकार को ज़ख़्मी किया और मारा हो उसका खाना मकरूह है और अगर दूसरा कुत्ता घेर कर उधर नहीं लाया बल्कि उसने पहले कुत्ते को दौड़ाया और उसने शिकार को दौड़ा कर ज़ख़्मी किया और मारा तो यह शिकार हलाल है। (हिदाया)

मसअला.22:– मुस्लिम ने कुत्ते को बिस्मिल्लाह पढ़कर छोड़ा उसने शिकार को झंझोड़ा यानी अच्छी तरह ज़ख़्मी किया उसके बाद फिर हमला किया और मार डाला यह शिकार हलाल है, इसी तरह अगर दो कुत्ते छोड़े एक ने उसे झंझोड़ा और दूसरे कुत्ते ने मार डाला यह शिकार भी हलाल है, यूंही अगर दो शख़्सों ने बिस्मिल्लाह कहकर दो कुत्ते छोड़े एक के कुत्ते ने झंझोड़ डाला और दूसरे के कुत्ते ने मार डाला यह जानवर हलाल है खाया जायेगा मगर मिल्क पहले शख़्स की है दूसरे की नहीं क्योंकि पहले ने जब उसे घायल कर दिया और भागने के क़ाबिल न रहा उसी वक़्त उसकी मिल्क हो चुकी। (हिदाया)

मसअला.23:– एक कुत्ते ने शिकार को पछाड़ लिया और शिकार की हद से ख़ारिज होगया अब इस के बाद वह दूसरे शख़्स ने उसी जानवर पर अपना कुत्ता छोड़ा और इस कुत्ते ने मार डाला हराम है, खाया न जाये कि जब वह जानवर भाग नहीं सकता तो अगर मौक़ा मिलता ज़बह किया जाता ऐसी हालत में ज़काते इज़्तिरारी नहीं है लिहाज़ा हराम है। (हिदाया)

मसअला.24:– शिकार की दूसरी नोअ़ तीर वग़ैरा से जानवर मारना है इसमें भी शर्त यह है कि तीर चलाते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़े और तीर से जानवर ज़ख़्मी होजाये ऐसा न हो कि तीर की लकड़ी जानवर को लगी और उस से दब कर मर गया कि इस सूरत में वह जानवर हराम है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.25:– शिकार अगर ग़ायब होगया कुत्ते का हो या तीर का तो यह उस वक़्त हलाल होगा कि शिकारी बराबर उसकी जुस्तजू (तलाश) जारी रखे बैठ न रहे और अगर बैठ रहा फिर शिकार मरा हूआ मिला तो हलाल नहीं और पहली सूरत में यह भी ज़रूरी कि शिकार में तुम्हारे तीर के सिवा कोई दूसरा ज़ख़्म न हो वरना हराम होजायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.26:– शिकार के हलाल होने के लिये यह ज़रूरी है कि कुत्ता छोड़ने या तीर चलाने के बाद किसी दूसरे काम में मश्गूल न हो बल्कि शिकार और कुत्ते की तलाश में रहे अगर नज़र से शिकार ग़ायब होगया फिर देर के बाद मिला और उसकी दो सूरतें हैं अगर जुस्तजू जारी रखी और शिकार को मरा हुआ पाया और कुत्ता भी शिकार के पास ही था तो खाया जा सकता है और अगर कुत्ता वहाँ से चला आया है तो न खाया जाये और अगर शिकार की तलाश में न रहा किसी दूसरे काम में मशग़ूल होगया फिर शिकार को पाया मगर मालूम नहीं कि कुत्ते ने ज़ख़्मी किया है या किसी दूसरी चीज़ ने तो न खाया जाये। (आलमगीरी)

मसअला.27:– शिकार की आहट महसूस हुई और उस शख़्स को यही गुमान है कि यह शिकार की आहट है उसने कुत्ता या बाज़ छोड़दिया या तीर चला दिया और शिकार को मारा यह जानवर हलाल है जबकि बाद में यही साबित हो कि यह आहट शिकार ही की थी कि उसका यह फ़ेअ़ल शिकार करना क़रार पायेगा अगर्चे शिकार को आँख से देखा न हो और अगर बाद में पता चला कि वह शिकार की आहट न थी किसी आदमी की पहचल थी या घरेलू जानवर की थी तो वह शिकार हलाल नहीं कि जिस चीज़ पर कुत्ता छोड़ा या तीर चलाया वह शिकार न था लिहाज़ा शिकार करना न पाया गया। (हिदाया)

मसअला.28:– परिन्द पर तीर चलाया वह तो उड़गया दूसरे शिकार को लगा यह हलाल है अगर्चे यह मालूम न हो कि वह परिन्द जिस पर तीर चलाया था वह वहशी है या नहीं चूंकि परिन्द में ग़ालिब यही है कि वहशी हो और अगर ऊंट पर तीर चलाया वह ऊंट को नहीं लगा बल्कि किसी शिकार को लगा उसकी दो सूरतें हैं अगर मालूम है कि ऊंट भाग गया है किसी तरह क़ाबू में नहीं आता यानी वह इस हालत में है कि उसका ज़ब्ह इज़्तिरारी हो सकता है तो वह शिकार हलाल है अगर यह पता न हो तो शिकार हलाल नहीं कि उसका यह फ़ेअ़ल शिकार नहीं है। (हिदाया)

मसअला.29:– जिस जानवर को तीर से मारा अगर ज़िन्दा मिल गया तो ज़बह करे, बिग़ैर ज़बह किये हलाल नहीं, यही हुक्म कुत्ते के शिकार का भी है यहाँ हयात से मुराद यह है कि उसकी

ज़िन्दगी मज़बूह से कुछ ज़्यादा हो और मुतरद्दिया (वह जानवर जो गिरकर मरा हो) व नतीहा (वह जानवर जो किसी जानवर के सींग मारने की वजह से मर गया हो) व मौकूज़ा (वह जानवर जो लकड़ी या पत्थर की चोट से मरा हो) व मरीज़ा (बीमार जानवर) वग़ैरहा में मुतलक़न ज़िन्दगी मुराद है यानी अगर उन जानवरों में कुछ भी ज़िन्दगी बाक़ी है और ज़बह कर लिया तो ह़लाल है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.30:– बिस्मिल्ला पढ़कर छोड़ा एक शिकार को छेदता हुआ दूसरे को लगा दोनों ह़लाल हैं और अगर हवा ने तीर का रुख़ बदल दिया उसको दहने या बायें को मोड़ दिया और इस सूरत में शिकार को लगा तो नहीं खाया जायेगा। (आलमगीरी) (यानी किसी दूसरे शिकार को अमीनुल क़ादरी)

मसअ्ला:– तीर शिकार पर चलाया वह दरख़्त या दीवार पर लगा और लौटा फिर शिकार को लगा यह जानवर ह़लाल नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.31:– मुस्लिम के साथ मजूसी ने भी कमान पर हाथ रख दिया और इसके साथ उसने भी खींचा तो शिकार ह़राम है यह वैसा ही है जैसा ज़बह़ करते वक़्त मजूसी ने भी छुरी को चलाया(ऐज़न)

मसअ्ला.32:– शिकार ह़लाल होने के लिये यह भी ज़रूरी है कि उसकी मौत दूसरे सबब से न हो यानी कुत्ते या बाज़ या तीर वग़ैरा जिस से शिकार किया उसी से मरा हो और अगर यह शुबह हो कि दूसरे सबब से इसकी मौत हुई तो ह़लाल नहीं मस्लन ज़ख़्मी होकर वह जानवर पानी में गिरा या ऊंची जगह पहाड़ या टीले से लुढ़का और यह एह्तिमाल है कि पानी की वजह से या लुढ़कने से मरा तो न खाया जाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.33:– तीर से शिकार को मारा वह ऊपर से ज़मीन पर गिरा या वहाँ ईंटें बिछी हुई थीं उन पर गिरा और मरगया यह शिकार ह़लाल है अगर्चे यह एह़तिमाल (शक) है कि गिरने से चोट लगी और मर गया हो इस एह़तिमाल का एअ्तिबार नहीं कि इस एह़तिमाल से बचने की सूरत नहीं और अगर पहाड़ पर या पत्थर की चट्टान पर गिरा फिर लुढ़क कर ज़मीन पर आया और मरा या दरख़्त पर गिरा या नेज़ा खड़ा हुआ था उसकी अनी पर गिरा या पक्की ईंट की कोर पर गिरा उन सब के बाद फिर ज़मीन पर गिरा और मर गया तो न खाया जाये कि हो सकता है उन चीज़ों पर गिरने की वजह से मरा हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.34:– मुर्ग़ाबी को तीर मारा वह पानी में गिरी और मरगई अगर उसका ज़ख़्म पानी में डूब गया है तो न खाई जाये और नहीं डूबा है तो खाई जाये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.35:– पानी वग़ैरा में गिरने से मरना यह उस वक़्त मोअ्तबर है जब कि शिकार को ऐसा ज़ख़्म पहुँचा है कि हो सकता था अभी न मरता तो कहा जा सकता है शायद इस वजह से मरा हो और अगर कारी ज़ख़्म लगा है कि बचने की उमीद ही नहीं है उसमें ज़िन्दगी का इतना ही हिस्सा है जितना मज़बूह़ में होता है तो इसका खाना जाइज़ है मस्लन सर जुदा हो गया और अभी ज़िन्दा है और पानी में गिरा और मरा इस सूरत में यह नहीं कहा जा सकता कि पानी में गिरने से मरा।

मसअ्ला.36:– शिकार अगर ज़मीन के सिवा किसी और चीज़ पर गिरकर मरा अगर वह चीज़ मुसत्तह़ (यानी हमवार) है मस्लन छत या पहाड़ पर गिरकर मरगया तो ह़लाल है कि इस पर गिरना वैसा ही है जैसे ज़मीन पर गिरना और अगर मुसत्तह़ चीज़ पर न हो मस्लन नेज़ा पर या ईंट की कोर पर या लाठी की नोक पर तो ह़राम है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.37:– ग़ुलैल से शिकार किया और जानवर मर गया तो खाया न जाये अगर्चे जानवर मजरूह़ (ज़ख़्मी) होगया हो कि ग़ुलैला काटता नहीं बल्कि तोड़ता है यह मौक़ूज़ा है जिस तरह तीर मारा और इस की नोक नहीं लगी बल्कि पट होकर शिकार पर लगा और मर गया जिसकी ह़दीस में ह़ुरमत मज़कूर है। (हिदाया)

मसअ्ला.38:– बन्दूक़ का शिकार मर जाये यह भी ह़राम है कि गोली या छर्रा भी आलाए जारिह़ा नहीं बल्कि अपनी क़ुव्वते मुदाफ़अ़त की वजह से तोड़ा करता है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.39:– धारदार पत्थर से मारा अगर पत्थर भारी है तो खाया न जाये क्योंकि इसमें अगर यह एहतिमाल है कि ज़ख़्मी करने से मरा तो यह एहतिमाल भी है कि पत्थर के बोझ से मरा हो और अगर वह हलका है तो खाया जाये कि यहाँ मरना जराहत की वजह से है। (हिदाया)

मसअ्ला.40:– लाठी, लकड़ी से शिकार को मार डाला तो खाया न जाये कि यह आलाए जारिहा नहीं बल्कि इसकी चोट से मरता है इस बाब में क़ायदा कुल्लिया यह है कि जानवर का मरना अगर जराहत से होना यक़ीनन मालूम हो तो हलाल है और अगर सि़क्ल (बोझ की वजह से) और दबने से हो तो हराम है अगर शक है कि जराहत से है या नहीं तो एहतियातन यहाँ भी हुरमत ही का हुक्म दिया जायेगा।(हिदाया)

मसअ्ला.41:– छुरी या तलवार से मारा अगर इसकी धार से ज़ख़्मी होकर मर गया तो हलाल है और अगर उल्टी तरफ़ लगी या तलवार का क़ब्ज़ा या छुरी का दस्ता लगा तो हराम है। (हिदाया)

मसअ्ला.42:– शिकार को मारा उसका कोई उ़ज़ू कटकर जुदा होगया तो शिकार खाया जाये और वह अ़ज़ू न खाया जाये जबकि उस अ़ज़ू के कट जाने से जानवर का ज़िन्दा रहना मुम्किन हो और अगर नामुम्किन हो तो अ़ज़ू भी खाया जा सकता है और अगर जानवर को मारा उसके दो टुकड़े हो गये और दोनों बराबर नहीं, दोनों खाये जायें और एक टुकड़ा एक तिहाई है दूसरा दो तिहाई और यह बड़ा टुकड़ा दुम की जानिब का है जब भी दोनों खाये जायें और अगर बड़ा टुकड़ा सर की तरफ़ का है तो सिर्फ़ यह बड़ा टुकड़ा खाया जाये दूसरा न खाया जाये और अगर सर आधा या आधे से ज़्यादा कटकर जुदा होगया तो यह टुकड़ा भी खाया जा सकता है। (हिदाया, इनाया)

मसअ्ला.43:– शिकार का हाथ या पाँव कट गया जुदा न हुआ अगर इतना कटा है कि जुड़ जाना मुम्किन है और वह शिकार मर गया तो यह टुकड़ा भी खाया जा सकता है और अगर जुड़ना नामुम्किन है कि पूरा कट गया है सिर्फ़ चमड़ा ही बाक़ी रह गया है तो शिकार खाया जाये यह कटा हुआ हाथ या पाँव न खाया जाये। (हिदाया)

मसअ्ला.44:– एक शख़्स ने शिकार को तीर मारा और लगा मगर ऐसा नहीं लगा है कि भाग न सके बल्कि भाग सकता है और पकड़ने में नहीं आ सकता उसके बाद दूसरे शख़्स ने तीर मार दिया और वह मर गया यह खाया जायेगा और दूसरे की मिल्क होगा और अगर पहले ने कारी ज़ख़्म लगाया है कि भाग नहीं सकता फिर दूसरे ने तीर मारा और मर गया तो पहले शख़्स की मिल्क है और खाया न जाये क्योंकि इसको ज़बह कर सकते थे ऐसे को तीर मारकर हलाक करने से जानवर हराम हो जाता है यानी यह हुक्म उस वक़्त है कि पहले के तीर मारने के बाद इसमें इतनी जान थी कि ज़बह इख़्तियारी हो सके और अगर इतनी ही जान बाक़ी थी जितनी मज़बूह में होती है तो दूसरे के तीर मारने से हराम नहीं हुआ और दूसरे के मारने से तीन सूरत में शिकार हराम हो गया यह दूसरा शख़्स पहले शख़्स को इस ज़ख़्म ख़ुर्दा जानवर की क़ीमत तावान दे कि इस की मिल्क को ज़ाइअ् किया है और अगर यह मालूम है कि जानवर की मौत दोनों ज़ख़्मों से हुई या मालूम न हो दूसरा शख़्स जानवर के ज़ख़्मी करने का तावान दे फिर जिस जानवर को दो ज़ख़्म लगे हैं उस के निस्फ़ क़ीमत का जो हो वह तावान दे फिर गोश्त की निस्फ़ क़ीमत तावान दे यानी इस सूरत में यह तावान देने होंगे। (हिदाया)

मसअ्ला.45:– शिकार को तीर मारा फिर इस शख़्स ने दूसरा तीर मारा और मर गया इस जानवर के हलाल या हराम होने में वही हुक्म है जो दूसरे शख़्स के तीर मारने की सूरत में है यहाँ ज़मान की सूरत नहीं है कि दोनों तीर ख़ुद इसी ने मारे हैं। (हिदाया, इनाया)

मसअ्ला.46:– पहाड़ की चोटी पर शिकार मारा और वह पूरा घायल होगया है कि भाग नहीं सकता उसने फिर दूसरा तीर मारकर उतारा यानी दूसरा तीर लगने से मर गया और गिरा तो हलाल नहीं। (हिदाया)

मसअ्ला.47:– परिन्दे को रात में पकड़ना मुबाह है मगर बेहतर यह है कि रात को न पकड़े(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.48:– बाज़ और शिकरे वग़ैरा को ज़िन्दा परिन्दे पर सिखाना ममनूअ् है कि उस परिन्द को ईज़ा देना है। (दुर्रेमुख़्तार) बल्कि ज़बह किए हुए जानवर पर सिखाये (आलमगीरी)

मसअ्ला.49:– मोअ़ल्लिम बाज़ ने किसी जानवर को पकड़ा और मार डाला और यह मालूम नहीं कि किसी ने छोड़ा है या नहीं ऐसी हालत में जानवर हलाल नहीं कि शक से हिल्लत साबित नहीं होती और अगर मालूम है कि फुलाँ ने छोड़ा है तो पराया माल है बिग़ैर इजाज़ते मालिक इसका लेना हलाल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.50:– किसी दूसरे शख़्स का मोअ़ल्लिम कुत्ता या बाज़ मार डाला या किसी की बिल्ली मार डाली उसकी क़ीमत का तावान देना होगा इसी तरह दूसरे की हर वह चीज़ जिसकी बैअ् जाइज़ है तलफ़ (जाइअ्) कर देने से तावान देना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.51:– मोअ़ल्लिम कुत्ते का हिबा और वसियत जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.52:– बाज़ जगह रुऊसा (मालदार) और ज़मीनदार अपने इलाक़ा में दूसरे लोगों के लिये शिकार करने की मुमानअ़त कर देते हैं उनका मक़सद उन जंगलों में ख़ुद शिकार खेलना होता है कि दूसरे जब नही खेलेंगे तो ब'इफ़रात शिकार मिलेगा ऐसी जगह अगर किसी ने शिकार किया तो यही मालिक होगया उनकी मुमानअ़त का शरअ़न कोई एअ़्तिबार नहीं कि शिकार उनकी मिल्क नहीं कि मनअ् करने से ममनूअ् होजाये बल्कि जो पकड़े उसी की मिल्क है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.53:– बहुत जगह ज़मीनदार तालाबों से मछलियाँ नहीं मारने देते और जो मारता है छीन लेते हैं यह उनका फ़ेअ्ल ना'जाइज़ व हराम है जो मारले उसी की हैं और छुपकर मारना चोरी में दाख़िल नहीं अगर्चे बाज़ लोग उसे चोरी कहते हैं कि माले मुबाह में चोरी कैसी।

मसअ्ला.54:– बाज़ लोग मछलियों के शिकार में ज़िन्दा मछली या ज़िन्दा मेन्ढकी कांटे में पिरो देते हैं और इससे बड़ी मछली फंसाते हैं ऐसा करना मनअ् है कि इस जानवर को ईज़ा देना है उसी तरह ज़िन्दा घेंसा कांटे में पिरोकर शिकार करते हैं यह भी मनअ् है।

रहन का बयान

रहन का जवाज़ किताब व सुन्नत से साबित और उस के जाइज़ होने पर इजमाअ् मुनअक़िद कुर्आन मजीद में इरशाद हुआ।

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ﴾

"और अगर तुम सफ़र में हो (और लेन देन करो) और कातिब न पाओ (कि वह दस्तावेज़ लिखे) तो गिरवी रखना है जिस पर क़ब्ज़ा होजाये"

इस आयत में सफ़र में गिरवी रखने का ज़िक्र है मगर हदीसों से साबित कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने मदीना में अपनी ज़रह गिरवी रखी थी।

हदीस (1) सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत आइशा रदियल्लाहु तआला अ़न्हा से मरवी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने एक यहूदी से ग़ल्ला उधार ख़रीदा था और लोहे की ज़रह उस के पास रहन रखी थी।

हदीस (2) सहीह बुख़ारी में उन्हीं से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई उस वक़्त हुज़ूर की ज़रह एक यहूदी के पास तीस साअ् जौ के मुक़ाबिल में गिरवी थी।

हदीस (3) सहीह बुख़ारी में अनस रदियल्लाहु तआला अ़न्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने जौ के मुक़ाबिल में अपनी ज़रह गिरवी रखदी थी।

हदीस (4) इमाम बुख़ारी अबू'हुरैरा से रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जानवर जब मरहून हो तो उस पर ख़र्च के एवज़ सवार हो सकते हैं और दूध वाले जानवर का दूध भी नफ़क़ा (खाने पिलाने का ख़र्च) के एवज़ में पिया जायेगा, और सवार होने वाले और दूध पीने का ख़र्चा सवार होने वाले और पीने वाले पर है।

हदीस (5) इब्ने माजा अबूहुरैरा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम

ने फ़रमाया कि "रहन बन्द नहीं किया जायेगा" (यानी मुरतहिन उसको अपना करले यह नहीं हो सकता)

हदीस (6) इमाम शाफ़ेई और हाकिम ने मुस्तदरक और बैहक़ी ने अबूहुरैरा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रहन मुग़लक़ (यानी मुरतहिन अपना करले) नहीं होता जिसने रहन रखा है उसके लिए रहन का फ़ायदा और उसी पर उस का नुक़सान है।

मसाइले फ़िक़्हिया

लुग़त में रहन के मअ्ना रोकना हैं इस का सबब कुछ भी हो और इस्तिलाहे शरअ् में दूसरे के माल को अपने हक़ में इस लिये रोकना कि उस के ज़रीआ से अपने हक़ को कुल्लन या जुज़अन वसूल करना मुम्किन हो मस्लन किसी के ज़िम्मे इसका दैन (कर्ज़) है उस मदयून (मक़रूज़) ने अपनी कोई चीज़ दाइन (कर्ज़ देने वाले) के पास इस लिये रखदी है कि उसको अपने दैन के वसूल पाने के लिए ज़रीआ बने, रहन को उर्दू ज़बान में गिरवी रखना बोलते हैं, कभी उस चीज़ को भी रहन कहते हैं जो रखी गई है उसका दूसरा नाम मरहून है, चीज़ के रखने वाले को राहिन और जिसके पास रखी गई उस को मुरतहिन कहते हैं, अक़्दे रहन बिल'इजमाअ् जाइज़ है क़ुर्आन मजीद और हदीस शरीफ़ से उसका जवाज़ साबित है रहन में ख़ूबी यह है कि दाइन व मदयून दोनों का इस में भला है कि बाज़ मरतबा बिग़ैर रहन रखे कोई देता नहीं मदयून का भला यूँ हुआ कि दैन मिल गया और दाइन का भला ज़ाहिर है कि उसको इत्मीनन होता है कि अब मेरा रुपया मारा न जायेगा। (हिदाया)

मसअ्ला.1:– रहन जिस हक़ के मुक़ाबिले में रखा जाता है वह दैन (यानी वाजिब फ़िज़्ज़िम्मा) हो ऐन के मुक़ाबिल (यानी सम्न व कर्ज़ के इलावा किसी चीज़ के बदले में (अमीनुल क़ादरी)) रहन रखना सहीह नहीं ज़ाहिरन व बातिनन दोनों तरह वाजिब हो जैसे मबीअ् का सम्न और कर्ज़ या ज़ाहिरन वाजिब हो जैसे गुलाम को बेचा और वह हक़ीक़त में आज़ाद था या सिर्का बेचा और वह शराब था और उन के सम्न के मुक़ाबिल में कोई चीज़ रहन रखी यह सम्न बज़ाहिर वाजिब है मगर वाक़ेअ् में न बैअ् है न सम्न अगर हक़ीक़तन दैन न हो हुक्मन दैन हो तो इसके मुक़ाबिल में भी रहन सहीह है जैसे अअ्याने मज़मूना बि'नफ़सिहा यानी जहाँ मिस्ल या क़ीमत से तावान देना पड़े जैसे मग़सूब शय कि ग़ासिब पर वाजिब यह है कि जो चीज़ ग़सब की है बिऐनिही वही चीज़ मालिक को दे और वह न हो तो मिस्ल या क़ीमत तावान दे जहाँ ज़मान वाजिब न हो जैसे वदीअत और अमानत की दूसरी सूरतें उनमें रहन दुरुस्त नहीं इसी तरह अअ्याने मज़मूना वग़ैरहा के मुक़ाबिल में भी रहन सहीह नहीं जैसे मबीअ् कि जब तक यह बाइअ् के क़ब्ज़े में है अगर हलाक होगई तो इसके मुक़ालिब में मुश्तरी से बाइअ् का सम्न साक़ित हो जायेगा मुश्तरी के पास बाइअ् कोई चीज़ रहन रखे सहीह नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.2:– अक़्दे रहन ईजाब व क़बूल से मुनअ्क़िद होता है मस्लन मदयून ने कहा कि तुम्हारा जो कुछ मेरे ज़िम्मे है उसके मुक़ाबिले में यह चीज़ तुम्हारे पास रहन रखी या यह कहे इस चीज़ को रहन रखलो दूसरा कहे मैंने क़बूल किया बिग़ैर ईजाब व क़बूल के अलफ़ाज़ बोलने के भी बतौर तआती रहन हो सकता है जिस तरह बैअ् तआती से हो जाती है। (हिदाया, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.3:– लफ़्ज़े रहन बोलना ज़रूरी नहीं बल्कि कोई दूसरा लफ़्ज़ जिससे रहन के मअ्ना समझे जाते हों तो रहन होगया मस्लन एक रुपये की कोई चीज़ ख़रीदी और बाइअ् को अपना कपड़ा या कोई चीज़ देदी और कह दिया कि उसे रखे रहो जब तक मैं दाम न देदूँ यह रहन हो गया यूँही एक शख़्स पर दैन है उसने दाइन को अपना कपड़ा देकर कहा कि उसे रखे रहो जब तक दैन अदा न करूँ यह रहन भी सहीह है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– ईजाब व क़बूल से अक़्दे रहन हो जाता है मगर लाज़िम नहीं होता जब तक मुरतहिन शय मरहून पर क़ब्ज़ा न करले लिहाज़ा क़ब्ज़े से पहले राहिन को इख़्तियार रहता है कि चीज़ दे या न दे और जब मुरतहिन ने क़ब्ज़ा कर लिया तो पक्का मुआमला होगया अब राहिन को बिग़ैर उसका हक़ अदा किये चीज़ वापस लेने का हक़ नहीं रहता। (हिदाया) मगर इनाया में फ़रमाया कि

यह आम्मा–ए–कुतुब के मुख़ालिफ़ है इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह की तसरीह यह है कि बिग़ैर क़ब्ज़ा रहन जाइज़ ही नहीं इमाम हाकिम शहीद ने काफ़ी में और इमाम जअ़्फ़र तहावी व इमाम कर्ख़ी ने अपने अपने मुख़्तसर में उसी की तस्रीह की और दुर्रे मुख़्तार में मुजतबा से है कि क़ब्ज़ा शर्ते जवाज़ है न कि शर्ते लुज़ूम।

मसअ्ला.5:– क़ब्ज़े के लिये इजाज़ते राहिन ज़रूरी है सराहतन क़ब्ज़े की इजाज़त दे या दलालतन दोनों सूरतों में क़ब्ज़ा होजायेगा, उसी मज्लिस में क़ब्ज़ा हो जिस में ईजाब व क़बूल हुआ है, या बाद में ख़ुद क़ब्ज़ा करे या उसका नाइब करे सब सहीह है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.6:– मरहून शय पर क़ब्ज़ा इस तरह हो कि वह इखट्ठी हो मुतफ़र्रिक़ (जुदा जुदा) न हो मस्लन दरख़्त पर फल हैं या खेत में ज़राअ़त है सिर्फ़ फलों या ज़राअ़त को रहन रखा दरख़्त और खेत को नहीं रखा यह क़ब्ज़ा सहीह नहीं और यह भी ज़रूरी है कि मरहून शय राहिन के साथ मशग़ूल न हो मस्लन दरख़्त पर फल हैं और सिर्फ़ दरख़्त को रहन रखा और यह भी ज़रूरी है कि मुतमय्यिज़ हो यानी मुशाअ़् (हिस्सा) न हो। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– ऐसी चीज़ रहन रखी जो दूसरी चीज़ के साथ मुत्तसिल (मिली हुई) है मस्लन दरख़्त में फल लगे हैं सिर्फ़ फलों को रहन रखा और मुरतहिन ने जुदा करके मस्लन फलों को तोड़कर क़ब्ज़ा करलिया अगर यह क़ब्ज़ा बिग़ैर इजाज़ते राहिन है तो ना'जाइज़ है ख़्वाह उसी मज्लिस में क़ब्ज़ा किया हो या बाद में और अगर इजाज़ते राहिन से है तो जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– मरहून व मुरतहिन के दरम्यान राहिन ने तख़लिया कर दिया कि मुरतहिन अगर क़ब्ज़ा करना चाहे कर सकता है यह भी क़ब्ज़े ही के हुक्म में है जिस तरह बैअ़् में बाइअ़् ने मबीअ़् और मुश्तरी के दरम्यान तख़लिया कर दिया क़ब्ज़ा ही के हुक्म में है। (हिदाया)

मसअ्ला.9:– रहन के शराइत हस्बे ज़ैल हैं (1)राहिन व मुरतहिन आ़क़िल हों यानी ना'समझ बच्चा और मजनून का रहन रखना सहीह नहीं, बुलूग़ उसके लिए शर्त नहीं ना'बालिग़ बच्चा जो आ़क़िल हो उसका रहन रखना सहीह है। (2)रहन किसी शर्त पर मुअ़ल्लक़ न हो न उसकी इज़ाफ़त वक़्त की तरफ़ हो। (3)जिस चीज़ को रहन रखा वह क़ाबिले बैअ़् हो यानी वक़्ते अ़क़्द मौजूद हो माले मुतलक़, मुतक़व्विम, (शरअन काबिले कीमत हो) मम्लूक, (मिल्कियत में हो) मालूम, मक़दूरुत्तसलीम (सिपुर्द करने पर क़ादिर हो) हो लिहाज़ा जो चीज़ वक़्ते अ़क़्द मौजूद ही न हो या उसके वुजूद व अ़दम (होने, न होने) दोनों का एहतिमाल हो उसका रहन जाइज़ नहीं मस्लन दरख़्त में जो फल इस साल आयेंगे या बकरियों के इस साल जो बच्चे पैदा होंगे या उसके पेट में जो बच्चा है उन सबका रहन नहीं हो सकता मुर्दार और ख़ून को रहन नहीं रख सकते कि यह माल नहीं, हरम व एहराम के शिकार भी मुर्दार हैं माल नहीं, आज़ाद को रहन नहीं रख सकता कि माल नहीं, मुदब्बर व उम्मे वलद का रहन जाइज़ नहीं, दोनों राहिन व मुरतहिन में अगर कोई मुस्लिम हो तो शराब व ख़िन्ज़ीर को रहन नहीं रख सकते, अम्वाले मुबाहा मस्लन शिकार और जंगल की लकड़ी और घास चूंकि यह मम्लूक नहीं उनका रहन भी ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– मरहून चीज़ मुरतहिन के ज़मान में हो जाती है यानी मरहून की मालियत उसके ज़मान होती है और ख़ुद ऐन बतौर अमानत है उसका फ़र्क़ यूँ ज़ाहिर होगा कि अगर मरहून को मुरतहिन ने राहिन से ख़रीद लिया तो यह क़ब्ज़ा जो मुरतहिन का है क़ब्ज़ा–ए–ख़रीदारी के क़ाइम मक़ाम नहीं होगा कि यह क़ब्ज़ाए अमानत है और मुश्तरी के लिये क़ब्ज़ाए ज़मान दरकार है और ख़ुद वह चीज़ अमानत है लिहाज़ा मरहून का नफ़्क़ा राहिन के ज़िम्मे है मुरतहिन के ज़िम्मे नहीं और ग़ुलाम मरहून था वह मरगया तो कफ़न राहिन के ज़िम्मे है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.11:– मुरतहिन के पास अगर मरहून हलाक होजाये तो दैन और उसकी क़ीमत में जो कम है उसके मुक़ाबिले में हलाक होगा मस्लन सौ रुपये दैन हैं और मरहून की क़ीमत दो सौ है तो सौ

के मुक़ाबिले में हलाक हुआ यानी इसका दैन साक़ित होगया और मुरतहिन राहिन को कुछ नहीं देगा और अगर सूरते मफ़रुज़ा में मरहून की क़ीमत पचास रुपये है तो दैन में से पचास साक़ित हो गये और पचास बाक़ी हैं और अगर दोनों बराबर हैं तो न देना है न लेना। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– मरहून की क़ीमत उस रोज़ की मोअ्तबर है जिस दिन रहन रखा है यानी जिस दिन मुरतहिन का क़ब्ज़ा हुआ है जिस दिन हलाक हुआ उस दिन की क़ीमत का एअ्तिबार नहीं यानी रहन रखने के बाद चीज़ की क़ीमत घट, बढ़ गई इसका एअ्तिबार नहीं मगर दूसरे शख़्स ने मरहून को हलाक कर दिया तो इससे तावान में वह क़ीमत ली जायेगी जो हलाक करने के दिन है और यह क़ीमत मुरतहिन के पास उस मरहून की जगह रहन है यानी अब यह मरहून है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.13:– मुरतहिन ने रहन रखते वक़्त यह शर्त करली है कि अगर चीज़ हलाक होगई तो मैं ज़ामिन नहीं इस सूरत में भी वह ज़ामिन है और यह शर्त बातिल है। (रद्दुल'मुहतार)

मसअ्ला.14:– दो चीज़ें रहन रखी हैं उनमें से एक हलाक होगई और एक बाक़ी है और जो हलाक होगई इस तन्हा की क़ीमत दैन से ज़ाइद है तो यह नहीं होगा कि दैन साक़ित होजाये बल्कि दैन को उन दोनों की क़ीमतों पर तक़सीम किया जाये जो हिस्सा उस हलाक शुदा के मुक़ाबिल आये वह साक़ित और जो बाक़ी के मुक़ाबिल है वह बाक़ी है यूंही मकान रहन रखा और वह गिर गया तो दैन को इमारत व ज़मीन की क़ीमत पर तक़सीम किया जाये जो हिस्सा इमारत के मुक़ाबिल है साक़ित और जो ज़मीन के मुक़ाबिल है बाक़ी है यूहीं अगर दस रुपये दैन के हैं चालीस रुपये की पोस्तीन रहन रखदी इसको कीड़ों ने खालिया अब इस की क़ीमत दस रुपये रहगई तो ढाई रुपये देकर राहिन छुड़ा लेगा कि पोस्तीन की तीन चौथाईयाँ कम हो गईं लिहाज़ा दैन की भी तीन चौथाईयाँ यानी साढ़े सात रुपये कम होगये उन जुज़ईयात से मालूम हुआ कि ख़ुद चीज़ में अगर नुक़सान हो जाये तो इसका दैन पर असर पड़ेगा और नर्ख़ कम होने का कोई एअ्तिबार नहीं (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.15:– मुरतहिन ने अगर मरहून में कोई ऐसा फ़ेअ्ल किया जिसकी वजह से वह चीज़ हलाक होगई या उसमें नुक़सान पैदा होगया तो ज़ामिन है यानी उसका तावान देना होगा मसलन एक कपड़ा बीस रुपये की क़ीमत का, दस रुपये में रहन रखा मुरतहिन ने ब'इजाज़ते राहिन एक मरतबा उसे पहना उसके पहनने से छः रुपये क़ीमत घटगई अब वह चौदह रुपये का होगया इसके बाद उसको बिग़ैर इजाज़त इस्तेअ्माल किया उस इस्तेअ्माल से चार रुपये और कम हो गये अब इस की क़ीमत दस रुपये होगई उसके बाद वह कपड़ा ज़ाइअ् होगया इस सूरत में मुरतहिन, राहिन से सिर्फ़ एक रुपया वसूल कर सकता है और नौ रुपये साक़ित होगये क्योंकि रहन के दिन जब इसकी क़ीमत बीस रुपये थी और क़र्ज़ के दस ही रुपये थे तो निस्फ़ का ज़मान है और निस्फ़ अमानत है फिर जब उसको इजाज़त से पहना है तो छः रुपये की जो कमी है उसका तावान नहीं कि यह कमी ब'इजाज़ते मालिक है मगर दोबारा जो पहना तो इसकी कमी के चार रुपये उस पर तावान हुए गोया दस में से चार वसूल होगये छः बाक़ी हैं फिर जिस दिन वह कपड़ा ज़ाइअ् हुआ चूंकि दस का था लिहाज़ा निस्फ़ क़ीमत के पाँच रुपये हैं, अमानत है निस्फ़ दोम कि यह भी पाँच है इस का ज़मान है हलाक होने से निस्फ़ दोम भी वसूल समझो लिहाज़ा यह पाँच और चार पहले के कुल नौ वसूल होगये एक बाक़ी रहगया है वह राहिन से ले सकता है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.16:– एक शख़्स कुछ दैन लेना चाहता है बात चीत होगई और यह भी ठहर गया कि इसके मुक़ाबिल में फुलाँ चीज़ रहन रखूँगा चुनांचे उस चीज़ पर मुरतहिन का क़ब्ज़ा होगया और अभी दैन दिया नहीं है अब फ़र्ज़ करो कि क़र्ज़ देने से पहले मुरतहिन के पास वह चीज़ हलाक होगई उसकी दो सूरतें हैं अगर क़र्ज़ की कोई मिक़दार नहीं बयान की गई है फ़क़त इतनी बात हुई कि तुमसे कुछ रुपये क़र्ज़ लूँगा इस सूरत में वह चीज़ मुरतहिन के ज़मान में नहीं है हलाक होने से उसको कुछ देना वाजिब नहीं और अगर क़र्ज़ की मिक़दार बयान करदी है मसलन सौ रुपये लूंगा

और यह लो रखो यह रहन होगी इस सूरत में ज़मान है इसका वही हुक्म है कि सौ रुपये लेकर रख देता यानी दैन और उस चीज़ की क़ीमत दोनों में जो कम है उसके मुक़ाबिल में उसको हलाक होना समझा जायेगा मस्लन उसकी क़ीमत सौ रुपये या ज़्यादा है तो मुरतहिन राहिन को सौ रुपये दे और सौ से कम है तो जो कुछ क़ीमत है वह दे। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.17:– क़र्ज़ देने का वअ्दा किया था और क़र्ज मांगने वाले ने क़र्ज़ लेने से पहले कोई चीज़ रहन रखदी और मुरतहिन ने कुछ क़र्ज़ दिया और कुछ बाक़ी है तो बाक़ी का जबरन इससे मुतालबा नहीं हो सकता यह हुक्म उस वक़्त है कि मरहून मौजूद हो और हलाक होगया तो इस का हुक्म वह है जो पहले बयान हुआ। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.18:– दाइन ने मदयून से अपने दैन के मुक़ाबिल जब कोई चीज़ रहन रखवाली तो यह न समझना चाहिए कि अब वह दैन का मुतालबा ही नहीं कर सकता ख़ामोश बैठा रहे बल्कि अब भी मुतालबा कर सकता है क़ाज़ी के पास दैन का दअ्वा कर सकता है और काज़ी को अगर साबित होजाये कि मदयून अदाए दैन में ढील डाल रहा है तो उसे क़ैद भी कर सकता है कि ऐसे की यही सज़ा है। (हिदाया)

मसअ्ला.19:– रहन फ़स्ख़ होने के बाद भी मुरतहिन को यह इख़्तियार है कि जब तक अपना मुतालबा वसूल न करले या मुआफ़ न करदे मरहून शय अपने क़ब्ज़े में रखे राहिन को वासप न दे यानी महज़ ज़बान से कह देने से कि रहन फ़स्ख़ किया रहन फ़स्ख़ नहीं होता बल्कि बाक़ी रहता है जब तक मरहून को वापस न करदे जब रहन फ़स्ख़ नहीं हुआ तो अब भी चीज़ को रोक सकता है हाँ दैन या क़ब्ज़ा दोनों में एक जाता रहे मस्लन दैन वसूल पाया या मुआफ़ कर दिया कि अब दैन बाक़ी न रहा या राहिन के क़ब्ज़े में देदिया तो अब रहन जाता रहेगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.20:– रहन फ़स्ख़ के बाद चीज़ मुरतहिन के पास हलाक होगई अब भी वही अहकाम हैं जो फ़स्ख़ न होने की सूरत में थे कि दैन और क़ीमत मरहून में जो कम है उसके मुक़ाबिल में चीज़ हलाक होगई। (हिदाया)

मसअ्ला.21:– मुरतहिन ने अगर राहिन को वह चीज़ देदी मगर बतौरे फ़स्ख़ रहन नहीं बल्कि ब'तौरे आ़रियत तो अब भी रहन बाक़ी है यानी उससे वापस नहीं ले सकता है। (एनाया)

मसअ्ला.22:– मरहून शय जब तक मुरतहिन के हाथ में है राहिन उसे बैअ् नहीं कर सकता मुरतहिन जब तक दैन वसूल न करले उसको इख़्तियार है कि बेचने न दे और अगर मदयून ने कुछ दैन अदा किया है कुछ बाक़ी है अब भी राहिन, मुरतहिन से चीज़ वापस नहीं ले सकता जब तक कुल दैन अदा न करदे और जब दैन बे'बाक़ कर दिया तो मुरतहिन से कहा जायेगा कि रहन वापस दो क्योंकि अब उसे रोकने का हक़ बाक़ी न रहा। (हिदाया)

मसअ्ला.23:– मदयून ने दैन अदा कर दिया और अभी तक शय मरहून मुरतहिन के पास है वापसी नहीं हुई है और चीज़ हलाक होगई तो जो कुछ मदयून ने अदा किया है मुरतहिन से बापस लेगा क्योंकि मुरतहिन का वह क़ब्ज़ा अब भी क़ब्ज़ा–ए–ज़मान है और यह हलाके दैन के मुक़ाबले में मुतसव्वुर होगा लिहाज़ा वापस करना होगा। (हिदाया) यह उस वक़्त है कि मरहून की क़ीमत दैन से ज़ाइद या दैन के बराबर है अगर दैन से कम है तो जितना मरहून की क़ीमत थी उतना ही वापस ले सकता है।

मसअ्ला.24:– मुरतहिन ने राहिन से दैन मुआफ़ कर दिया या हिबा कर दिया और अभी मरहून को वापस नहीं दिया था उसी के पास हलाक होगया इस सूरत में राहिन मुरतहिन से चीज़ का तावान नहीं ले सकता कि यहाँ मुरतहिन ने दैन के मुक़ाबिल में कोई चीज़ वसूल नहीं की है जिस को वापस दे बल्कि दैन को साक़ित किया है। (एनाया)

मसअ्ला.25:– मरहून चीज़ से किसी क़िस्म का नफ़अ् उठाना जाइज़ नहीं है मस्लन लोन्डी, गुलाम हो तो उससे ख़िदमत लेना, या इजारा पर देना, मकान में सुकूनत करना, या किराये पर उठाना, या आ़रियत पर देना, कपड़े और ज़ेवर को पहनना, या इजारा व आ़रियत पर देना,

अल'ग़रज़ नफ़अ् की सब सूरतें ना'जाइज़ हैं और जिस तरह मुरतहिन को नफ़अ् उठाना ना'जाइज़ है राहिन को भी ना'जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.26:– मुरतहिन के लिये अगर राहिन ने इन्तिफ़ाअ् की इजाज़त देदी है इस की दो सूरतें हैं यह इजाज़त रहन में शर्त है यानी क़र्ज़ ही इस तरह दिया है कि वह अपनी चीज़ उसके पास रहन रखे और यह उससे नफ़अ् उठाये जैसाकि उमूमन इस ज़माने में मकान या ज़मीन इसी तौर पर रखते हैं यह ना'जाइज़ और सूद है दूसरी सूरत यह है कि शर्त न हो यानी अक़्दे रहन हो जाने के बाद राहिन ने इजाज़त दी है कि मुरतहिन नफ़अ् उठाये यह सूरत जाइज़ है अस्ल हुक्म यही है जिसका ज़िक्र हुआ मगर आज कल आम हालत यह है कि रुपया क़र्ज़ देकर अपने पास चीज़ उसी मक़सद से रहन रखते हैं कि नफ़अ उठायें और यह इस दर्जा मअ्रुफ़ व मशहूर है कि मश्रुत की हद में दाख़िल है लिहाज़ा इससे बचना ही चाहिए। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.27:– जिस तरह मरहून से मुरतहिन नफ़अ् नहीं उठा सकता राहिन के लिये भी इस से इन्तिफ़ाअ् जाइज़ नहीं मगर इस सूरत में कि मुरतहिन उसे इजाज़त देदे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.28:– राहिन ने मुरतहिन को इस्तेअ्माल की इजाज़त देदी थी उसने इस्तेअ्माल की तो मुरतहिन पर ज़मान नहीं यानी मकान में सुकूनत, या बाग़ के फ़ल खाने, या जानवर के दूध इस्तेअ्माल करने के मुक़ाबिल में दैन का कुछ हिस्सा साक़ित नहीं होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.29:– मुरतहिन ने ब'इजाज़ते राहिन चीज़ को इस्तेअ्माल किया और ब'वक़्ते इस्तेअ्माल चीज़ हलाक होगई तो यहाँ अमानत का हुक्म दिया जायेगा यानी मुरतहिन पर इसका तावान न होगा दैन का कोई जुज़ साक़ित् न होगा। और इससे पहले या बाद में हलाक हो तो ज़मान है जिसका हुक्म पहले बताया गया। (रद्दुलमुख़्तार)

मसअ्ला.30:– मुरतहिन शय मरहून को न इजारे पर दे सकता है न आ़रियत के तौर पर कि वह खुद नफ़अ् नहीं उठा सकता तो दूसरे को नफ़अ् उठाने की कब इजाज़त दे सकता है। (हिदाया)

मसअ्ला.31:– एक शख़्स से रुपया क़र्ज़ लिया और उसे अपना मकान रहने को देदिया कि जब तक क़र्ज़ अदा न करदूँ तुम उसमें रहो या खेत इसी तरह दिया मस्लन सौ रुपये क़र्ज़ लेकर खेत देदिया कि क़र्ज़ देने वाला खेत जोते, बोयेगा और नफ़अ् उठायेगा यह सूरत रहन में दाख़िल नहीं बल्कि यह ब'मन्ज़िला इजारा फ़ासिदा है उस शख़्स पर उजरते मिस्ल लाज़िम है क्योंकि मकान या खेत उसे मुफ़्त नहीं दे रहा है बल्कि क़र्ज़ की वजह से दे रहा है और चूंकि क़र्ज़ से इन्तिअ्फ़ा हराम है लिहाज़ा उजरते मिस्ल देनी होगी। (रद्दुलमुख़्तार)

मसअ्ला.32:– बाज़ लोग क़र्ज़ लेकर मकान या खेत रहन रख देते हैं कि मुरतहिन मकान में रहे और खेत को जोते, बोये और मकान या खेत की कुछ उजरत मुक़र्रर कर देते हैं मस्लन मकान का किराया पाँच रुपये माहवार या खेत का पट्टा दस रुपये साल होना चाहिए और तै यह पाता है कि यह रक़म ज़रे क़र्ज़ से मुजरा होती रहेगी(क़र्ज़ की रक़म से कटौती होती रहेगी)जब कुल रक़म अदा होजायेगी उस वक़्त मकान या खेत वापस होजायेगा इस सूरत में ब'ज़ाहिर कोई क़बाहत(बुराई)नहीं मा'लूम होती अगर्चे किराया या पट्टा वाजिबी उजरत से कम तै पाया हो और यह सूरत इजारह में दाख़िल है यानी इतने ज़माने के लिये मकान या खेत उजरत पर दिया और ज़रे उजरत पेशगी लेलिया।

मसअ्ला.33:– बकरी रहन रखी थी और राहिन ने मुरतहिन को दूध पीने की इजाज़त देदी वह दूध पीता रहा फिर वह बकरी मरगई इस सूरत में दैन को बकरी और दूध की क़ीमत पर तक़सीम किया जाये जो हिस्सा–ए–दैन बकरी के मुक़ाबिल में आये वह साक़ित और दूध की क़ीमत के मुक़ाबिल में जो हिस्सा आये वह राहिन से वसूल करे क्योंकि हुक्म यह है कि रहन से जो पैदावार होगी वह भी रहन होगी और चूंकि मुरतहिन ने ब'इजाज़ते राहिन उसको ख़र्च किया तो गोया खुद राहिन ने ख़र्च किया लिहाज़ा उस के मुक़ाबिल का दैन साक़ित नहीं होगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.34:– मुरतहिन ने अगर राहिन की इजाज़त के बिग़ैर मरहून से नफ़अ़ उठाया तो यह तअ़द्दी और ज़्यादती है यानी इस सूरत में अगर्चे चीज़ हलाक होगई तो पूरी चीज़ का तावान देना होगा यह नहीं कि दैन साक़ित होजाये और बाक़ी का मुरतहिन से मुतालबा न हो मगर उसकी वजह से रहन बातिल नहीं होगा यानी अगर अपनी इस ह़रकत से बाज़ आगया तो चीज़ रहन है और रहन के अह़काम जारी होंगे। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.35:– मुरतहिन ने राहिन से दैन त़लब किया तो उससे कहा जायेगा कि पहले मरहून चीज़ हाज़िर करो जब वह हाज़िर करदे तो राहिन से कहा जायेगा कि दैन अदा करो जब यह पूरा दैन अदा करदे अब मुरतहिन से कहा जायेगा इस की चीज़ देदो। (हिदाया)
मसअ्ला.36:– मुरतहिन ने राहिन से दैन का मुतालबा दूसरे शहर में किया अगर वह चीज़ ऐसी है कि वहाँ तक ले जाने में बारबर्दारी सर्फ़ करनी नहीं होगी जब भी वही हुक्म है कि वह मरहून को पहले हाज़िर करे फिर इससे अदाए दैन को कहा जायेगा और बारबर्दारी सर्फ़ करनी पड़े तो वहाँ लाने की तकलीफ़ न दी जाये बल्कि बिग़ैर चीज़ लाये हुए भी दैन अदा करदे। (हिदाया)
मसअ्ला.37:– यह हुक्म कि मुरतहिन को मरहून के हाज़िर लाने को कहा जायेगा उस वक़्त है कि राहिन यह कहता हो कि मरहून मुरतहिन के पास हलाक हो चुका है लिहाज़ा मैं दैन क्यों अदा करूँ और मुरतहिन कहता है कि मरहून मौजूद है और अगर राहिन भी मरहून को मौजूद होना कहता हो तो इसकी क्या ज़रूरत कि यहाँ हाज़िर लाये जब ही दैन अदा करने को कहा जायेगा कि अगर वह चीज़ ऐसी है जिसमें बारबर्दारी सर्फ़ होगी इस वजह से हाज़िर लाने को नहीं कहा गया मगर राहिन उसके तलफ़ (बर्बाद) हो जाने का मुद्दई (दावेदार) है तो राहिन से कहा जायेगा कि अगर मुरतहिन की बात का तुम्हें इत्मीनान नहीं है तो इससे क़सम खिलालो कि मरहून हलाक नहीं हुआ।(दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.38:– अगर दैन ऐसा है कि क़िस्तवार अदा किया जायेगा क़िस्त अदा करने का वक़्त आगया इस का भी वही हुक्म है कि अगर राहिन मरहून का हलाक होना बताता है और मुरतहिन इससे इन्कारी है तो मुरतहिन से कहा जायेगा कि चीज़ हाज़िर लाये और बारबर्दारी वाली चीज़ हो तो मुरतहिन से क़सम खिला सकता है कि हलाक नहीं हुई। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.39:– मुरतहिन ने दैन वसूल पा लिया और अभी चीज़ वापस नहीं दी और यह चीज़ उसके पास हलाक होगई तो राहिन इससे दैन वापस लेगा। क्योंकि मरहून पर अब भी मुरतहिन का क़ब्ज़ा क़ब्ज़ा–ए–ज़मान है और हलाक होना दैन वसूल होने के क़ाइम मक़ाम है लिहाज़ा जो ले चुका है वापस दे। (हिदाया)
मसअ्ला.40:– राहिन ने अगर मुरतहिन से कहदिया कि मरहून को फुलाँ शख़्स के पास रखदो इसने उसके कहने की वजह से उसके पास रख दिया अब अगर मुरतहिन ने दैन का मुतालबा किया और राहिन मरहून के हाज़िर लाने को कहता है तो मुरतहिन को उसकी तकलीफ़ न दी जाये क्योंकि उसके पास है ही नहीं जो हाज़िर करे इसी त़रह अगर राहिन ने मुरतहिन को यह हुक्म दिया कि मरहून को बैअ़ कर डाले उसने बेच डाला और अभी उसके स्मन पर मुरतहिन ने क़ब्ज़ा नहीं किया है राहिन यह नहीं कह सकता कि स्मने मरहून ब'मन्ज़िलाए मरहून है (यानी गिरवी रखी हुई चीज़ की तै शुदा क़ीमत गिरवी रखी हुई चीज़ के क़ायम मुक़ाम है) लिहाज़ा उसे हाज़िर लाओ क्योंकि जब स्मन पर क़ब्ज़ा ही नहीं हुआ है तो क्योंकर हाज़िर करे हाँ स्मन पर क़ब्ज़ा कर लिया तो अब बेशक स्मन को हाज़िर करना होगा कि यह स्मन मरहून के क़ाइम मक़ाम है। (हिदाया)
मसअ्ला.41:– राहिन यह कहता है कि मरहून चीज़ मुझे देदो मैं उसे बेचकर तुम्हारा दैन अदा करूँगा मुरतहिन को इस पर मजबूर नहीं किया जायेगा कि मरहून को देदे। यूंही अगर कुछ हिस्सा दैन का अदा कर दिया है कुछ बाक़ी है या मुरतहिन ने कुछ दैन मुआफ़ कर दिया है कुछ बाक़ी है राहिन यह कहता है कि मरहून का एक जुज़ मुझे देदिया जाये क्योंकि मेरे ज़िम्मे कुल दैन बाक़ी न

रहा इस सूरत में भी मुरतहिन पर यह ज़रूर नहीं कि मरहून का जुज़ वापस करे जब तक पूरा दैन अदा न होजाये या मुरतहिन मुआफ़ न करदे वापस करने पर मजबूर नहीं हाँ अगर दो चीज़ें रहन रखी हैं और हर एक के मुक़ाबिल में दैन का हिस्सा मुक़र्रर कर दिया है मस्लन सौ रुपये क़र्ज़ लिये और दो चीज़ें रहन कीं कहदिया कि साठ रुपये के मुक़ाबिल में यह है और चालीस के मुक़ाबिल में वह तो इस सूरत में जिसके मुक़ाबिल का दैन अदा किया उसे छुड़ा सकता है कि यहाँ हक़ीक़तन दो अ़क्द हैं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.42:– मुरतहिन के ज़िम्मे मरहून की हिफ़ाज़त लाज़िम है और यहाँ हिफ़ाज़त का वही हुक्म है जिसका बयान वदीअ़त में गुज़र चुका कि ख़ुद हिफ़ाज़त करे या अपने अहल व अ़याल की हिफ़ाज़त में देदे यहाँ अ़याल से मुराद वह लोग हैं जो इसके साथ रहते सहते हों जैसे बीवी, बच्चे, ख़ादिम और अजीरे ख़ास यानी नौकर जिस की माहवार या शशमाही या सालाना तन्ख़्वाह दी जाती हो मज़दूर जो रोज़ाना पर काम करता हो मस्लन एक दिन की उसे इतनी उजरत दीजायेगी उसकी हिफ़ाज़त में नहीं दे सकता औ़रत मुरतहिन है तो शौहर की हिफ़ाज़त में दे सकती है बीवी और औलाद अगर अ़याल में न हो जब भी उनकी हिफ़ाज़त में दे सकता है जिन दो शख़्सों के मा'बैन शिरकते मुफ़ावज़ा या शिरकते इनान है उनमें एक के पास कोई चीज़ रखी गई तो शरीक की हिफ़ाज़त में दे सकता है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.43:– उन लोगों के सिवा किसी और की हिफ़ाज़त में चीज़ देदी या किसी के पास वदीअ़त रखी या इजारा या आ़रियत के तौर पर देदी या किसी और तरह इसमें तअ़द्दी की मस्लन किताब रहन थी उसको पढ़ा या जानवर पर सवार हुआ ग़र्ज़ यह कि किसी सूरत से बिला'इजाज़ते राहिन इस्तेअ़्माल में लाये बहर सूरत पूरी क़ीमत का तावान उसके ज़िम्मे वाजिब है और मुरतहिन उन सब सूरतों में ग़ासिब के हुक्म में है इस वजह से पूरी क़ीमत का तावान वाजिब होता है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.44:– अंगूठी रहन रखी मुरतहिन ने छंगुलिया में पहनली पूरी क़ीमत का ज़ामिन होगया कि यह मरहून को बिला इजाज़त इस्तेअ़्माल करना है दहने हाथ की छंगुलिया में पहने या बायें हाथ में दोनों का एक हुक्म है कि अंगूठी दोनों तरह आ़दतन पहनी जाती है और छंगुलिया के सिवा किसी दूसरी उंगली में डाल ली तो ज़ामिन नहीं कि आ़दतन इस तरह पहनी जाती लिहाज़ा इसको पहनना न कहेंगे बल्कि हिफ़ाज़त के लिये उंगली में डाल लेना है। (हिदाया) यह हुक्म उस वक़्त है कि मुरतहिन मर्द हो और अगर औ़रत के पास अंगूठी रहन रखी तो जिस किसी उंगली में डाले पहनना ही कहा जायेगा कि औ़रतें सब में पहना करती हैं। (गुनियतु ज़विलअहकाम) कुर्ते को कन्धे पर डाल लिया यानी जो चीज़ जिस तरह इस्तेअ़्माल की जाती है उसके सिवा दूसरे तरीक़ पर बदन पर डाल ली उस में कुल क़ीमत का तावान नहीं।

मसअ्ला.45:– मुरतहिन ख़ुद अंगूठी पहने हुए था उसके पास अंगूठी रहन रखी गई अपनी अंगूठी पर रहन वाली अंगूठी को भी पहन लिया या एक शख़्स के पास दो अंगूठियाँ रहन रखी गईं उसने दोनों एक साथ पहनलीं यहाँ यह देखा जायेगा कि यह शख़्स अगर उन लोगों में है जो ब'क़स्दे ज़ीनत दो अंगूठियाँ पहनते हैं। (अगर्चे यह शरअ़न ना'जाइज़ है) तो पूरा तावान वाजिब और अगर दोनों अंगूठियाँ पहनने वालों में नहीं तो इस को पहनना नहीं कहा जायेगा बल्कि यह हिफ़ाज़त करना कहा जायेगा। (हिदाया)

मसअ्ला.46:– दो तलवारें रहन रखीं मुरतहिन ने दोनों को एक साथ बाँध लिया ज़ामिन है कि बहादुर दो तलवारें एक साथ लगाया करते हैं और तीन तलवारें रहन रखीं और तीनों को लगा लिया तो ज़ामिन नहीं कि तलवार के इस्तेअ़्माल का यह तरीक़ा नहीं। (हिदाया) पहली सूरत में उस वक़्त ज़ामिन है कि ख़ुद मुरतहिन भी दो तलवारें एक साथ लगाने वालों में हो। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.47:– मुरतहिन ने चीज़ इस्तेअ़्माल की और हलाक होगई और उसपर पूरी क़ीमत का तावान लाज़िम आया अगर यह क़ीमत उतनी ही है जितना उसका दैन था और क़ाज़ी ने उसी

जिन्स की क़ीमत का फ़ैसला किया जिस जिन्स का दैन है मस्लन सौ रुपये दैन है और क़ीमत भी सौ रुपये क़रार दी तो फ़ैसला करने ही से अदला बदला होगया यानी न लेना न देना और अगर दैन की मिक़दार ज़्यादा है तो मुरतहिन राहिन से बक़िया दैन को मुतालबा करेगा और अगर क़ीमत दैन से ज़्यादा है तो राहिन मुरतहिन से यह ज़्यादती वसूल करेगा और अगर दैन एक जिन्स का है और क़ाज़ी ने क़ीमत दूसरी जिन्स से लगाई मस्लन दैन रुपया है और मरहून की क़ीमत अशर्फ़ियों से लगाई या इसका अक्स तो यह क़ीमत मुरतहिन के पास बजाए उस हलाक'शुदा चीज़ के रहन है यानी राहिन जब दैन अदा करेगा तब इस क़ीमत के वसूल करने का मुस्तहक़ होगा इसी तरह अगर दैन मीआदी हो और अभी मीआद बाक़ी है तो अगर्चे क़ीमत इसी जिन्स से लगाई हो मुरतहिन के पास यह क़ीमत रहन होगी जब मीआद पूरी होजायेगी उस क़ीमत को दैन में वसूल करेगा।(दुर्रेमुख़्तार)

शय मरहून के मसारिफ़ का बयान

मसअ्ला.1:– मरहून (रहन रखी हुई चीज़) की हिफ़ाज़त में जो कुछ सर्फ़ होगा वह सब मुरतहिन के ज़िम्मे है कि हिफ़ाज़त खुद उसी के ज़िम्मे है लिहाज़ा जिस मकान में मरहून को रखे उसका किराया और हिफ़ाज़त करने वाले की तन्ख़्वाह मुरतहिन अपने पास से ख़र्च करे और अगर जानवर को रहन रखा है तो उसके चराने की उजरत और मरहून का नफ़्क़ा मस्लन उसका खाना, पीना और लोन्डी, ग़ुलाम को रहन रखा है तो उन का लिबास भी और बाग़ रहन रखा है तो दरख़्तों को पानी देने, फल तोड़ने और दूसरे कामों की उजरत राहिन के ज़िम्मे है उसी तरह ज़मीन का उश्र या ख़िराज भी राहिन के ज़िम्मे है। (हिदाया)

मसअ्ला.2:– जो मसारिफ़ मुरतहिन के ज़िम्मे हैं अगर यह शर्त करली जाये कि यह भी राहिन ही के ज़िम्मे होंगे तो बा'वजूद शर्त भी राहिन के ज़िम्मे नहीं होंगे बल्कि मुरतहिन ही को देने होंगे ब'ख़िलाफ़े वदीअत कि उसमें अगर मुवदअ् ने यह शर्त करली है कि हिफ़ाज़त के मसारिफ़ मोदेअ् के ज़िम्मे होंगे तो शर्त सहीह है (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.3:– मरहून को मुरतहिन के पास वापस लाने में जो सर्फ़ा (ख़र्चा) हो मस्लन वह भाग गया इस को पकड़ लाने में कुछ ख़र्च करना होगा या मरहून के किसी अज़ू (बदन के हिस्से) में ज़ख़्म हो गया या उसकी आँख सफ़ेद पड़गई या किसी क़िस्म की बीमारी है उनके इलाज में जो कुछ सर्फ़ा हो वह मज़मून व अमानत पर तक़सीम किया जाये यानी अगर मरहून की क़ीमत दैन से ज़ाइद हो तो इस सूरत में बताया जा चुका है कि बक़द्रे दैन मुरतहिन के ज़मान में है और जो कुछ दैन से ज़ाइद है वह अमानत है लिहाज़ा यह सर्फ़ा दोनों पर तक़सीम हो जो हिस्सा मुरतहिन के ज़मान के मुक़ाबिल में आये वह मुरतहिन के ज़िम्मे है और जो अमानत के मुक़ाबिल हो वह राहिन के ज़िम्मे और अगर मरहून की क़ीमत दैन से ज़ाइद न हो तो यह सारे मसारिफ़ मुरतहिन के ज़िम्मे होंगे(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– जो मसारिफ़ एक के ज़िम्मे वाजिब थे उन्हें दूसरे ने अपने पास से कर दिया इसकी दो सूरतें हैं अगर उसने खुद ऐसा किया है जब तो मुतबर्रेअ् (अच्छा काम) है वसूल नहीं कर सकता और अगर क़ाज़ी के हुक्म से ऐसा किया है और क़ाज़ी ने कहदिया है कि जो कुछ ख़र्च करोगे दूसरे के ज़िम्मे दैन होगा इस सूरत में वसूल कर सकता है। और अगर क़ाज़ी ने ख़र्च करने का हुक्म देदिया मगर यह नहीं कहा कि दूसरे के ज़िम्मे दैन होगा तो इस सूरत में भी वसूल नहीं कर सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– मरहून पर ख़र्च करने की ज़रूरत है और वहाँ क़ाज़ी नहीं है कि उससे इजाज़त हासिल करता यहाँ महज़ मुरतहिन का यह कह देना काफ़ी नहीं है कि ज़रूरत की वजह से ख़र्च किया है बल्कि गवाहों से साबित करना होगा कि ज़रूरत थी और इस लिये ख़र्च किया था कि वसूल करेगा।

किस चीज़ को रहन रख सकते हैं

मसअ्ला.1:– मुशाअ् (चीज़ का हिस्सा) को मुतलक़न रहन रखना जाइज़ है वह चीज़ रहन रखते वक़्त ही मुशाअ् थी या बादे रहन शुयूअ् (हिस्से) आया वह चीज़ क़ाबिले क़िस्मत हो या नाक़ाबिले तक़सीम हो अजनबी के पास रहन रखे या शरीक के पास सब सूरतें ना'जाइज़ हैं पहले की मिसाल यह है

कि किसी ने अपना निस्फ़ मकान रहन रख दिया इस निस्फ़ को मुम्ताज़ नहीं किया बाद में शुयूअ़ पैदा हुआ उस की मिसाल यह है कि पूरी चीज़ रहन रखी फिर दोनों ने निस्फ़ में रहन फ़स्ख़ कर दिया। मस्लन राहिन ने किसी को हुक्म करदिया कि वह मरहून को जिस तरह चाहे बैअ़ करदे उसने निस्फ़ को बैअ़ कर दिया बाक़ी सूरतों की मिसालें ज़ाहिर हैं। (हिदाया)

मसअ्ला.2:– मुशाअ़ को रहन रखना फ़ासिद है या बातिल सहीह यह है कि बातिल नहीं बल्कि फ़ासिद है लिहाज़ा मरहून पर मुरतहिन का अगर क़ब्ज़ा होगया तो यह क़ब्ज़ा क़ब्ज़ा–ए–ज़मान है कि मरहून अगर हलाक होजाये तो वही हुक्म है जो रहन सहीह का था। (दुर्रेमुख़्तार)

फ़ायदा:– रहन फ़ासिद व बातिल में फ़र्क़ यह है कि बातिल वह है जिस में रहन की हक़ीक़त ही न पाई जाये कि जिस चीज़ को रहन रखा वह माल ही न हो या जिसके मुक़ाबिल में रखा वह माल मज़मून न हो और फ़ासिद वह है कि रहन की हक़ीक़त पाई जाये मगर जवाज़ की शर्तों में से कोई शर्त मफ़क़ूद हो (यानी कोई शर्त न पाई जाती हो) जिस तरह बैअ़ में फ़ासिद व बातिल का फ़र्क़ है यहाँ भी है। (शरम्बुलाली)

मसअ्ला.3:– ऐसी चीज़ रहन रखी जो दूसरी चीज़ के साथ मुत्तसिल है यानी उस की ताबेअ़ है यह रहन भी ना'जाइज़ है जैसे दरख़्त पर फल हैं और सिर्फ़ फलों को रहन रखा या सिर्फ़ ज़राअ़त या सिर्फ़ दरख़्त को रहन रखा ज़मीन को नहीं या उन का अ़क्स यानी दरख़्त को रहन रखा फल को नहीं या ज़मीन को रहन रखा ज़राअ़त और दरख़्त को नहीं रखा। (हिदाया)

मसअ्ला.4:– दरख़्त को सिर्फ़ उतनी ज़मीन के साथ रहन रखा जितनी ज़मीन में दरख़्त है बाक़ी आस पास की ज़मीन नहीं रखी यह जाइज़ है और इस सूरत में दरख़्त के फल भी तब्अ़न रहन में दाख़िल होजायेंगे इसी तरह ज़मीन रहन रखी या गाँव को रहन रखा तो जो कुछ दरख़्त हैं यह भी तब्अ़न रहन होजायेंगे। (हिदाया) इस में और पहली सूरतों में फ़र्क़ यह है कि पहली सूरतों में मुत्तसिल चीज़ के रहन करने की नफ़ी करदी लिहाज़ा सहीह नहीं और यहाँ तवाबेअ़ के मुतअ़ल्लिक़ सुकूत है लिहाज़ा यह तब्अ़न दाख़िल हैं।

मसअ्ला.5:– जो चीज़ किसी बर्तन या मकान में है फ़क़त चीज़ को रहन रखा बर्तन या मकान को रहन नहीं रखा यह जाइज़ है कि इस सूरत में इत्तिसाल नहीं है। (हिदाया)

मसअ्ला.6:– काठी और लगाम रहन रखी और घोड़ा कसा कसाया मुरतहिन को देदिया यह रहन ना'जाइज़ है बल्कि इस सूरत में यह ज़रूरी है कि उन चीज़ों को घोड़े से उतारकर मुरतहिन को दे और घोड़ा रहन रखा और काठी लगाम समेत मुरतहिन को देदिया यह जाइज़ है या साज़ भी तब्अ़न रहन में दाख़िल होजायेंगे। (हिदाया)

मसअ्ला.7:– आज़ाद को रहन नहीं रख सकते कि यह माल नहीं और शराब को रहन रखना भी जाइज़ नहीं कि इस की बैअ़ नहीं हो सकती जायदादे मौक़ूफ़ा को भी रहन नहीं रखा जासकता (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– तीस रुपये क़र्ज़ लिये और दो बकरियाँ रहन रखीं एक को दस के मुक़ाबिल दूसरी को बीस के मुक़ाबिल मगर यह नहीं बयान किया कि कौनसी दस के मुक़ाबिल है और कौनसी बीस के मुक़ाबिल यह ना'जाइज़ है क्योंकि अगर एक हलाक होगई तो यह झगड़ा होगा कि यह किस के मुक़ाबिल थी ताकि उसके मुक़ाबिल का दैन साक़ित होना क़रार पाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– मकान को रहन रखा और राहिन व मुरतहिन दोनों उस मकान के अन्दर हैं राहिन ने कहा मैंने यह मकान तुम्हारे क़ब्ज़े में दिया और मुरतहिन ने कहा कि मैंने क़बूल किया रहन तमाम न हुआ जब तक राहिन मकान से बाहर होकर मुरतहिन को क़ब्ज़ा न दे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– अमानतों के मुक़ाबिल में कोई चीज़ रहन नहीं रखी जा सकती मस्लन वकील या मुज़ारिब को जो माल दिया जाता है वह अमानत है या मौदअ़ के पास वदीअ़त अमानत है उन लोगों से माल वाला कोई चीज़ रहन के तौर पर ले यह नहीं हो सकता अगर लेगा तो यह रहन नहीं न उस पर रहन के अहकाम जारी होंगे लिहाज़ा अगर किसी ने किताबें वक़्फ़ की हैं और यह शर्त कर

दी है कि जो शख़्स कुतुबख़ाना से कोई किताब ले जाये तो उसके मुक़ाबिल में कोई चीज़ रहन रख जाये यह शर्त बातिल है कि मुस्तईर के पास आरियत अमानत है उसके तलफ़ होने पर ज़मान नहीं फिर उसके मुक़ाबिल में रहन रखना क्योंकर सहीह होगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार) वक़्फ़ी किताबों का ख़ासकर इस लिये ज़िक्र किया गया कि यहाँ वाक़िफ़ की शर्त का भी एअ्तिबार नहीं वरना हुक्म यह है कि कोई चीज़ आरियत दी जाये उसके मुक़ाबिल में रहन नहीं हो सकता।

मसअ्ला.11:– शिरकत की चीज़ शरीक के पास है दूसरा शरीक उससे कोई चीज़ रहन रखवाये सहीह नहीं कि यह भी अमानत है मबीअ् बाइअ् के पास है अभी उसने मुश्तरी को दी नहीं मुश्तरी उससे रहन नहीं रखवा सकता कि मबीअ् अगर्चे अमानत नहीं मगर बाइअ् के पास अगर हलाक हो जाये तो समन के मुक़ाबिल में हलाक होगी यानी बाइअ् मुश्तरी से समन नहीं ले सकता या ले चुका है तो वापस करे लिहाज़ा रहन का हुक्म भी जारी न हुआ। (हिदाया)

मसअ्ला.12:– दरक के मुक़ाबिल में रहन नहीं हो सकता यानी एक चीज़ ख़रीदी समन अदा करदिया और मबीअ् पर क़ब्ज़ा करलिया मगर मुश्तरी को डर है कि यह चीज़ अगर किसी दूसरे की हुई और उसने मुझसे लेली तो बाइअ् से समन की वापसी क्योंकर होगी इस इत्मीनान की ख़ातिर बाइअ् की कोई चीज़ अपने पास रहन रखना चाहता है यह रहन सहीह नहीं मुश्तरी के पास अगर यह चीज़ हलाक होगी तो ज़मान नहीं कि यह रहन नहीं है बल्कि अमानत है और मुश्तरी को इसका रोकना जाइज़ नहीं यानी बाइअ् अगर मुश्तरी से चीज़ मांगे तो मनअ् नहीं कर सकता देना होगा। (दुरर, ग़ुरर) और चूंकि यह चीज़ मुश्तरी के पास अमानत है और उसको रोकने का हक़ नहीं है लिहाज़ा बाइअ् की तलब के बाद अगर न देगा और हलाक होगई तो अब तावान देना होगा। अब वह ग़ासिब है।

मसअ्ला.13:– किसी चीज़ का नर्ख़ चुकाकर बाइअ् के यहाँ से ले गया और अभी ख़रीदी नहीं हाँ ख़रीदने का इरादा है और बाइअ् ने उससे कोई चीज़ रहन रखवाली यह जाइज़ है इस बारे में यह चीज़ मबीअ् के हुक्म में नहीं है। (ज़ैलई)

मसअ्ला.14:– दैन मौऊ़द के मुक़ाबिल में रहन रखना जाइज़ है जिसका ज़िक्र पहले होचुका कि मसलन किसी से क़र्ज़ मांगा और उसने देने का वअ्दा कर लिया है मगर अभी दिया नहीं क़र्ज़ लेने वाला उसके पास कोई चीज़ रहन रख आया यह रहन सहीह है। (हिदाया)

मसअ्ला.15:– जिस सूरत में क़िसास वाजिब है वहाँ रहन सहीह नहीं और ख़ता के तौर पर जनायत हुई कि इसमें दियत वाजिब होगी यहाँ रहन सहीह है कि मरहून से अपना हक़ वसूल कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– ख़रीदार पर शुफ़अ् हुआ और शफ़ीअ् के हक़ में फ़ैसला हुआ कि तस्लीमे मबीअ् मुश्तरी पर वाजिब होगई शफ़ीअ् यह चाहे कि मुश्तरी की कोई चीज़ रहन रखलूँ यह नहीं हो सकता जिस तरह बाइअ् से मुश्तरी मबीअ् के मुक़ाबिल में रहन नहीं ले सकता मुश्तरी से शफ़ीअ् भी नहीं ले सकता। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– जिन सूरतों में इजारा बातिल है ऐसे इजारा में उजरत के मुक़ाबिल कोई चीज़ रहन नहीं हो सकती कि शरअन यहाँ उजरत वाजिब ही नहीं कि रहन सहीह हो मसलन नोहा करने वाली की उजरत या गाने वाले की उजरत नहीं दी है इस के मुक़ाबिल में रहन नहीं हो सकता। (दुर्रेमुख़्तार) जिन सूरतों में रहन सहीह न हो उनमें मरहून अमानत होता है कि हलाक होने से ज़मान नहीं और राहिन के तलब करने पर मरहून को दे देना होगा। अगर रोकेगा तो ग़ासिब क़रार पायेगा और तावान वाजिब होगा।

मसअ्ला.18:– ग़ासिब से मग़सूब के मुक़ाबिल में कोई चीज़ रहन ली जा सकती है यह रहन सहीह है उसी तरह बदले ख़ुलअ् और बदले सुलह के मुक़ाबिल में रहन हो सकता है मसलन औरत ने हज़ार रुपये पर ख़ुलअ् कराया और रुपया उस वक़्त नहीं दिया रुपये के मुक़ाबिल में शौहर के पास

कोई चीज़ रहन रखदी यह रहन सहीह है या क़िसास वाजिब था मगर किसी रक़म पर सुलह होगई इस के मुक़ाबिल में रहन रखना सहीह है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.19:– मकान या कोई चीज़ किराये पर ली थी और किराये के मुक़ाबिल में मालिक के पास कोई चीज़ रहन रखदी यह रहन जाइज़ है फिर अगर मुद्दते इजारा पूरी होने के बाद वह चीज़ हलाक हुई तो गोया मालिक ने किराया वसूल पा लिया अब मुतालबा नहीं कर सकता और अगर मुस्ताजिर (किरायादार) के मनफ़अत हासिल करने से पहले चीज़ हलाक होगई तो रहन बातिल है मुरतहिन पर वाजिब है कि मरहून की क़ीमत राहिन को दे। (आलमगीरी)

मसअला.20:– दर्ज़ी को सीने के लिये कपड़ा दिया और सीने के मुक़ाबिल में उससे कोई चीज अपने पास रहन रखवाई यह जाइज़, और अगर उसके मुक़ाबिल में रहन है कि तुमको खुद सीना होगा यह रहन ना'जाइज़ है यूंही कोई चीज़ आरियत दी और इस चीज़ की वापसी में बारबर्दारी सर्फ़ होगी लिहाज़ा मुईर ने मुस्तईर से कोई चीज़ वापसी के मुक़ाबिले में रहन रखवाई यह जाइज है और अगर यूँ रहन रखवाई कि तुम को खुद पहुँचानी होगी तो ना'जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअला.21:– बैअ़े सलम के रासुल'माल के मुक़ाबिल में रहन सहीह है और मुसलम फ़ी के मुक़ाबिले में भी सहीह है। इसी तरह बैअ़ सर्फ़ के समन के मुक़ाबिले में रहन सहीह है। पहले की सूरत यह है कि किसी शख़्स से मसलन सौ रुपये में सलम किया और उन रुपयों के मुक़ाबिल में कोई चीज़ रहम रखदी। दूसरे की यह सूरत है कि दस मन गेहूँ में सलम किया और रुपये देदिये और मुसलम इलैहि से कोई चीज़ रहन लेली। तीसरे की यह सूरत है कि रुपये से सोना ख़रीदा और रुपये की जगह पर कोई चीज़ सोने वाले को देदी। पहली और तीसरी सूरत में अगर मरहून उसी मज्लिस में हलाक होजाये तो अक़्दे सलम व सर्फ़ तमाम होगये(यानी बैअ़ सलम और सोने चाँदी की बैअ़ का अक़्द मुकम्मल होगया)और मुरतहिन ने अपना माल वसूल पा लिया यानी बैअ़ सलम में रासुलमाल मुसलम इलैहि को मिल गया और बैअ़ सर्फ़ में ज़रे समन वसूल होगया (यानी तयशुदा कीमत वसूल होगई) मगर यह उस वक़्त है कि मरहून की क़ीमत रासुल'माल और समने सर्फ़ से (यानी सोने चाँदी की बैअ़ में मुक़र्ररा रक़म से) कम न हो और अगर क़ीमत कम है तो बक़द्र क़ीमत सहीह है माबक़िया (जो बाक़ी रही) को अगर उसी मज्लिस में न दिया तो उसके मुक़ाबिल में सहीह न रहा और अगर मरहून उस मज्सिल में हलाक न हुआ और आक़िदैन (राहिन और मुरतहिन) जुदा होगये और रासुलमाल व समने सर्फ़ उस मज्सिल में न दिया तो अक़्दे सलम व सर्फ़ बातिल होगये कि उन दोनों अक़्दों में उसी मज्लिस में देना ज़रूरी था जो पाया न गया। और इस सूरत में चूंकि अक़्द बातिल होगये लिहाज़ा मुरतहिन राहिन को मरहून वापस दे और फ़र्ज़ करो मुरतहिन ने अभी वापस नहीं दिया था और मरहून हलाक होगया तो रासुल'माल व समने सर्फ़ के मुक़ाबिल में हलाक होना माना जायेगा यानी वसूल पाना क़रार दिया जायेगा मगर वह दोनों अक़्द अब भी बातिल ही रहेंगे अब जाइज़ नहीं होंगे। दूसरी सूरत यानी मुसलम फ़ी के मुक़ाबिल में रब्बुस्सलम ने अपने पास कोई चीज़ रहन रखी उसमें अक़्दे सलम मुतलक़न सहीह है मरहून इसी मज्लिस में हलाक हो या न हो दोनों के जुदा होने के बाद हो या न हो कि रासुलमाल पर क़ब्ज़ा जो मज्लिसे अक़्द में ज़रूरी था होचुका और मुसलम फ़ी के क़ब्ज़े की ज़रूरत थी ही नहीं लिहाज़ा इस सूरत में अगर मरहून हलाक होजाये मज्लिस में या बादे मज्लिस बहर सूरत अक़्दे सलम तमाम है। और रब्बुस्सलम को गोया मुसलम फ़ी वसूल होगया यानी मरहून के हलाक होने के बाद अब मुसलम फ़ी का मुतालबा नहीं कर सकता हाँ अगर मरहून की क़ीमत कम हो तो बक़द्रे क़ीमत वसूल समझा जाये बाक़ी बाक़ी है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.22:– रब्बुस्सलम ने मुसलम फ़ी के मुक़ाबिल में अपने पास चीज़ रहन रख़ली थी और दोनों ने अक़्दे सलम को फ़स्ख़ कर दिया तो जब तक रासुल'माल वसूल न होजाये यह चीज़ रासुल'माल के मुक़ाबिल है यानी मुसलम इलैहि यह नहीं कह सकता कि सलम फ़स्ख़ होगया

हमे बड़ी मुसर्रत हो रही है कि अल्लाह त'आला और उसके हबीब सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम के हुक्म फ़ज़्ल-ओ-करम से और बुज़ुर्गाने दीन सिलसिला-ए-क़ादिरिया बिलख़ुसूस पिराने पीर दस्तगीर हुज़ूर ग़ौस-ए-आज़म शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रादिअल्लाहु त'आला अन्हू के फ़ैज़ से क़िताब बहार-ए-शरीअत **(हिस्सा 11 से 20)** हिंदी में पीडीएफ **[PDF]** में आप की खिदमत में पेश की जा रही है।

ज़माना-ए- क़दीम से अवमुन्नास की इस्लाहे हाल और हिदायते उख़रवी व दुनयवी के लिए हक़ सदाक़त के जाम की फ़राहमी की जाती रही हैं और ये इलतेज़ाम ख़ालिक़-ए-क़ायनात जल्ला जलालहु ने ब अहसान अपनी मख़लूक़ के लिए फ़रमाया है। अम्बिया व मुर्सलीन के बेहतरीन दौर के बाद उसने यह ख़िदमत अपने मुक़र्रबीन रिज़वानुल्लाह त'आला अलैहिम अजमईन के सुपुर्द की और यह सिलसिला अला हालही जारी व सारि है।

मज़हब-ए-इस्लाम अल्लाह त'आला का पसंदीदा दीन है । जिंदगी का कोई ऐसा शोबा नही जिसके लिए इस्लाम ने हमे क़ानून न दिया हो ।

आज जिस दौर से हम गुज़र रहे है हमारा मुस्लिम तबका उर्दू की तरफ ध्यान नही दे रहा है और नई नस्ल तो बिल्कुल ही उर्दू से नावाक़िफ़ होती जा रही है । नतीजे के तौर पर दीनी और मज़हबी दिलचस्पियाँ कम हो रही है और हम अपने हाल को ग़ैर मुंज़बित तरीके पे छोड़े रहते है ।

लिहाज़ा ये किताब हिंदी में लिखी गई है और आप सब की आसानी के लिए हम ने इस किताब को पीडीएफ फ़ाइल में आप की ख़िदमत में पेश किया है।
आप सब से हमारी गुज़ारिश है कि अपनी मसरूफ ज़िन्दगी में से रोज़ाना वक़्त निकाल कर बुज़ुर्गो की तस्नीफ़ करदा किताबो को मुताला में रखें , इंशा अल्लाह त'आला दीन और दुनिया दोनो में मक़बूल होंगे।

दुआओं के तलबगार

वसीम अहमद रज़ा खान और साथी

+91-8109613336

लिहाज़ा मरहून वापस दो। हाँ जब मुसलम इलैहि रासुल'माल वापस करदे तो मरहून को वापस ले सकता है और फ़र्ज़ करो कि रासुल'माल वापस नहीं दिया और रब्बुस्सलम के पास वह चीज़ हलाक होगई तो मुसलम फ़ी के मुक़ाबिल में उसका हलाक होना समझा जायेगा यानी रब्बुल'माल मुसलम फ़ी की मिस्ल मुसलम इलैहि को दे और अपना रासुल'माल वापस ले यह नहीं कि उसको रासुल माल के क़ाइम मक़ाम फ़र्ज़ करके रासुल'माल की वसूली क़रार दें। (हिदाया)

मसअ्ला.23:– सोना, चाँदी, रुपये, अशर्फ़ी और मकील व मौज़ून को रहन रखना जाइज़ है फिर उनको रहन रखने की दो सूरतें हैं। दूसरी जिन्स के मुक़ाबिल में रहन रखा या ख़ुद अपनी ही जिन्स के मुक़ाबिल में रखा। पहली सूरत में यानी ग़ैर जिन्स के मुक़ाबिल में अगर हो मस्लन कपड़े के मुक़ाबिल रुपया अशर्फ़ी या जौ, गेहूँ को रहन रखा और यह मरहून हलाक होजाये तो उसकी क़ीमत का एअ्तिबार होगा और इस सूरत में खरे, खोटे का लिहाज़ होगा यानी अगर उसकी क़ीमत दैन की बराबर या ज़ाइद है तो दैन वसूल समझा जायेगा और अगर कुछ कमी है तो जो कमी है इतनी राहिन से ले सकता है। और अगर दूसरी सूरत है यानी अपनी हम जिन्स के मुक़ाबिल में रहन है मस्लन चाँदी को रुपया के मुक़ाबिल में या सोने को अशर्फ़ी के मुक़ाबिल में या गेहूँ को गेहूँ के मुक़ाबिल रहन रखा और मरहून हलाक होगया तो वज़न व कैल (नाप) का एअ्तिबार होगा। और इस सूरत में खरे खोटे का एअ्तिबार नहीं होगा मस्लन सौ रुपये क़र्ज़ लिये और चाँदी रहन रखी और यह ज़ाइअ् होगई और यह चाँदी सौ रुपये भर या ज़ाइद थी तो दैन वसूल समझा जाये यह नहीं कहा जा सकता कि सौ रुपये भर चाँदी की मालियत सौ रुपये से कम है और सौ रुपये भर से कुछ कमी है तो इतनी कमी वसूल कर सकता है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.24:– सोने, चाँदी की कोई चीज़ मस्लन बर्तन या ज़ेवर को अपनी हम जिन्स के मुक़ाबिल में रहन रखा और चीज़ टूट गई अगर इसकी क़ीमत वज़न की ब'निस्बत कम है तो ख़िलाफ़े जिन्स से इसकी क़ीमत लगाकर इस क़ीमत को रहन क़रार दिया जाये और टूटी हुई चीज़ का मुरतहिन मालिक होगया और राहिन को इख़्तियार है कि दैन अदा करके वह चीज़ लेले और अगर उस की क़ीमत वज़न की ब'निस्बत ज़्यादा है तो दूसरी जिन्स से क़ीमत लगाई जायेगी और मुरतहिन पूरी क़ीमत का ज़ामिन है और यह क़ीमत उसके पास रहन होगी और मुरतहिन उस टूटी हुई चीज़ का मालिक हो जायेगा। मगर राहिन को यह इख़्तियार होगा कि पूरा दैन अदा करके फ़क्के रहन (यानी गिरवी रखी हुई चीज़ को छुड़ाना) कराले। (तबईन)

मसअ्ला.25:– एक शख़्स से दस दिरहम क़र्ज़ लिये और अंगूठी रहन रखदी जिसमें एक दिरहम चाँदी है और नौ दिरहम का नगीना है और मुरतहिन के पास से अंगूठी ज़ाइअ् होगई तो गोया दैन वसूल होगया और अगर नगीना टूट गया तो उसकी वजह से अंगूठी की क़ीमत में जो कुछ कमी हुई उतना दैन साक़ित और अगर अंगूठी टूट गई और उसकी क़ीमत एक दिरहम से ज़्यादा है तो पूरी क़ीमत का ज़मान है मगर यह ज़मान दूसरी जिन्स मस्लन सोने से लिया जाये। (आलमगीरी)

मसअ्ला.26:– पैसे रहन रखे थे और उनका चलन बन्द होगया यह ब'मन्ज़िला हलाक है और अगर पैसों का नर्ख़ सस्ता होगया इस का एअ्तिबार नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.27:– तश्त, लोटा या कोई और बर्तन रहन रखा और वह टूटगया इस का एअ्तिबार नहीं।

मसअ्ला.28:– तश्त, लोटा या कोई रहन रखा और वह टूट गया अगर वह वज़न से बिकने की चीज़ न हो तो जो कुछ नुक़सान हुआ उतना दैन साक़ित और अगर वह वज़न से बिके तो राहिन को इख़्तियार है कि दैन अदा करके अपनी चीज़ वापस ले या उसकी जो कुछ क़ीमत हो उतने में मुरतहिन के पास छोड़ दे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.29:– पराई चीज़ बेचदी और समन के मुक़ाबिल में मुश्तरी से कोई चीज़ रहन रखवाली मालिक ने दोनों बातों को जाइज़ कर दिया यह बैअ् जाइज़ है मगर रहन जाइज़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.30:– कोई चीज़ बैअ् की और मुश्तरी से यह शर्त करली कि फुलाँ मुअय्यन चीज़ समन के मुक़ाबिल रहन रखे यह जाइज़ है और अगर बाइअ् ने यह शर्त की कि फुलाँ शख़्स समन का कफ़ील होजाये और वह शख़्स वहाँ हाज़िर है उसने क़बूल कर लिया यह भी जाइज़ है और अगर बाइअ् ने कफ़ील को मुअय्यन नहीं किया है या मुअय्यन कर दिया है मगर वह वहाँ मौजूद नहीं है और उसके आने और क़बूल करने से पहले बाइअ् व मुश्तरी जुदा होगये तो बैअ् फ़ासिद होगई इसी तरह अगर रहन के लिये कोई चीज़ मुअय्यन नहीं की है तो बैअ् फ़ासिद होगई मगर जब कि उसी मज्लिस में दोनों ने रहन को मुअय्यन कर लिया या उसी मज्लिस में मुश्तरी ने समन अदा कर दिया तो बैअ् सहीह होगई मज्लिस बदल जाने के बाद मुअय्यन रहन या अदा–ए–समन से बैअ् का फ़साद दफ़अ् नहीं होगा। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.31:– बाइअ् ने मुअय्यन चीज़ रहन रखने की शर्त की थी और मुश्तरी ने यह शर्त मन्ज़ूर भी करली थी इस सूरत में मुश्तरी ने अगर वह चीज़ रहन न रखी तो बाइअ् को इख़्तियार है कि बैअ् को फ़स्ख़ करदे मगर जब कि मुश्तरी समन अदा करदे या जो चीज़ रहन रखने के लिये मुअय्यन हुई थी उसी क़ीमत की दूसरी चीज़ रहन रखदे तो अब बैअ् को फ़स्ख़ नहीं कर सकता(दुर्र०)

मसअ्ला.32:– कोई चीज़ ख़रीदी और मुश्तरी ने बाइअ् को कोई चीज़ देदी कि उसे रखे जब तक मैं दाम न दूँ तो यह चीज़ रहन होगई और अगर जो चीज़ ख़रीदी है उसी के मुतअ़ल्लिक़ कहा कि उसे रखे रहो जब तक दाम न दूँ तो इस में दो सूरतें हैं अगर मुश्तरी ने उस पर क़ब्ज़ा कर लिया था फिर बाइअ् को यह कहकर देदी कि उसे रखे रहो तो यह रहन भी सहीह है और अगर मुश्तरी ने क़ब्ज़ा नहीं किया था और मबीअ् के मुतअ़ल्लिक़ वह अलफ़ाज़ कहे तो रहन सहीह नहीं कि वह तो बिग़ैर कहे भी समन के मुक़ाबिल में महबूस (क़ैद में) है बाइअ् बिग़ैर समन लिये देने से इन्कार कर सकता है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.33:– मुश्तरी न चीज़ ख़रीदकर बाइअ् के पास छोड़दी कि उसे रखे रहो दाम देकर ले जाऊंगा और मुश्तरी चीज़ लेने नहीं आया और चीज़ ऐसी है कि ख़राब होजायेगी मस्लन गोश्त है कि रखा रहने से सड़ जायेगा या बर्फ़ है जो घुल जायेगी बाइअ् को ऐसी चीज़ का दूसरे के हाथ बैअ् कर देना जाइज़ है जैसे मालूम है कि यह चीज़ दूसरे की ख़रीदी हुई है उसको ख़रीदना भी जाइज़ है मगर बाइअ् ने अगर ज़ाइद दामों से बेचा तो जो कुछ पहले समन से ज़ाइद है उसे सदक़ा करदे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.34:– दाइन ने मदयून की पगड़ी लेली कि मेरा दैन देदोगे उस वक़्त पगड़ी दूँगा अगर मदयून भी राज़ी होगया और छोड़ आया तो रहन है ज़ाइअ् होगी तो रहन के अहकाम जारी होंगे और अगर राज़ी नहीं है मस्लन यह कमज़ोर है उस से छीन नहीं सकता था तो रहन नहीं बल्कि ग़स्ब है। (दुर्रेमुख़्तार)

बाप या वसी का नाबालिग़ की चीज़ को रहन रखना

मसअ्ला.1:– बाप के ज़िम्मे दैन है वह अपने नाबालिग़ लड़के की चीज़ दाइन के पास रहन रख सकता है इसी तरह वसी भी ना'बालिग़ की चीज़ को अपने दैन के मुक़ाबिल में रहन रख सकता है फिर अगर यह चीज़ मुरतहिन के पास हलाक होगई तो यह दोनों बक़द्रे दैन ना'बालिग़ को तावान दें और मिक़दारे दैन से मरहून की क़ीमत ज़ाइद हो तो ज़्यादती का तावान नहीं कि यह अमानत थी जो हलाक होगई। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.2:– बाप या वसी ने ना'बालिग़ की चीज़ अपने दाइन के पास रखी थी फिर उस दाइन को उन्होंने चीज़ बेच डालने के लिये कहदिया उसने बेचकर अपना दैन वसूल कर लिया यह भी जाइज़ है मगर बक़द्रे समन ना'बालिग़ को देना होगा इसी तरह अगर उन दोनों ने ना'बालिग़ की चीज़ अपने दैन के बदले में ख़ुद बैअ् करदी यह भी जाइज़ है और इस समन और दैन में मुक़ास्सा (अदला बदला) होजायेगा। फिर ना'बालिग़ को अपने पास से बक़द्रे समन अदा करें।

मसअ्ला.3:– ख़ुद ना'बालिग़ लड़के का बाप के ज़िम्मे दैन है उसके मुक़ाबिल में बाप ने उसके

पास कोई चीज़ रहन रखदी यह भी जाइज़ है और इस सूरत में उस चीज़ पर उसका कब्ज़ा ना'बालिग़ की तरफ़ से होगा और इस का अक्स भी जाइज़ है यानी बाप का बेटे पर दैन था और उसकी चीज़ अपने पास रहन रखली यह दोनों सूरतें वसी के हक़ में ना'जाइज़ हैं कि न अपनी चीज़ उसके पास रहन रख सकता है न उसकी अपने पास। (हिदाया)

मसअला.4:– एक शख़्स के दो ना'बालिग़ लड़के हैं और एक का दूसरे पर दैन है उनका बाप मदयून की चीज़ दाइन के पास रहन रख सकता है और दो ना'बालिग़ों का वसी यह नहीं कर सकता कि एक की चीज़ को दूसरे की तरफ़ से रहन रखले। (हिदाया)

मसअला.5:– बाप और ना'बालिग़ लड़के दोनों पर दैन है और बाप ने ना'बालिग़ की चीज़ दोनों के मुक़ाबिल में रहन रखदी यह जाइज़ है और इस सूरत में अगर मरहून चीज़ मुरतहिन के पास हलाक होगई तो बाप के दैन के मुक़ाबिल में मरहून का जितना हिस्सा था उतने का लड़के को तावान दे वसी और दादा का भी यही हुक्म है। (हिदाया)

मसअला.6:– बाप पर दैन है वह बालिग़ लड़के की चीज़ उस दैन के मुक़ाबिल में रहन नहीं रख सकता कि ना'बालिग़ पर उसकी विलायत नहीं उसी तरह ना'बालिग़ के दैन में बालिग़ की चीज़ गिरवी नहीं रख सकता और अगर बालिग़ व ना'बालिग़ दोनों की मुश्तरक चीज़ है इसको भी रहन नहीं रख सकता। (आलमगीरी)

मसअला.7:– बाप पर दैन है उसने बालिग़ व ना'बालिग़ लड़कों की मुश्तरक चीज़ को रहन रख दिया यह ना'जाइज़ है जब तक बालिग़ से इजाज़त हासिल न करले और मरहून हलाक होजाये तो बालिग़ के हिस्से का ज़ामिन है। (आलमगीरी)

मसअला.8:– बाप ने ना'बालिग़ लड़के की चीज़ रहन रखदी थी फिर बाप मरगया और वह ना'बालिग़ होकर यह चाहता है कि मैं अपनी चीज़ मुरतहिन से ले लूँ तो जब तक दैन अदा न कर दे चीज़ नहीं ले सकता फिर अगर खुद बाप पर दैन था जिस के मुक़ाबिल में गिरवी रखी थी और लड़के ने अपने माल से दैन अदा करके चीज़ लेली तो बक़द्र दैन बाप के तर्का से वसूल कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअला.9:– माँ को यह इख़्तियार नहीं है कि अपने ना'बालिग़ लड़के की चीज़ रहन रखदे हाँ अगर वह वसिया है या जो शख़्स ना'बालिग़ के माल का वली है उसकी तरफ़ से इजाज़त हासिल है तो रख सकती है। (आलमगीरी)

मसअला.10:– वसी ने यतीम के खाने और लिबास के लिये उधार ख़रीदा और उसके मुक़ाबिल में यतीम की चीज़ रहन रखदी यह जाइज़ है इसी तरह अगर यतीम के माल को तिजारत में लगाया और उसकी चीज़ दूसरे के पास रखदी या दूसरे की चीज़ उसके लिये रहन में ली यह भी जाइज़ है।(हिदाया)

मसअला.11:– वसी ने बच्चे के लिये कोई चीज़ उधार ली थी और उसकी चीज़ रहन रखदी थी फिर मुरतहिन के पास से बच्चे ही की ज़रूरत के लिये मांग लाया और चीज़ ज़ाइअ् होगई तो चीज़ रहन से निकल गई और बच्चे ही का नुक़सान हुआ इस सूरत में दैन का कोई जुज़ उसके मुक़ाबिल में साक़ित नहीं होगा और अगर अपने काम के लिये वसी मुरतहिन से मांग लाया है और चीज़ हलाक होगई तो वसी के ज़िम्मे तावान है कि यतीम की चीज़ को अपने लिये इस्तेअ्माल करने का हक़ न था। (हिदाया)

मसअला.12:– वसी ने यतीम की चीज़ रहन रखदी फिर मुरतहिन के पास से ग़स्ब कर लाया और अपने काम में इस्तेअ्माल की और चीज़ हलाक होगई अगर उस चीज़ की क़ीमत बक़द्रे दैन है तो अपने पास से दैन अदा करे और यतीम के माल से वसूल नहीं कर सकता और अगर दैन से उस की क़ीमत कम है तो बक़द्रे क़ीमत अपने पास से मुरतहिन को दे और मा'बक़िया यतीम के माल से अदा करे और अगर क़ीमत दैन से ज़्यादा है तो दैन अपने पास से अदा करे और जो कुछ चीज़ की क़ीमत दैन से ज़ाइद है यह ज़्यादती यतीम को दे क्योंकि इस ने दोनों के हक़ में तअ़द्दी ज़्यादती की

और अगर ग़स्ब करके यतीम के इस्तेअ़्माल में लाया और हलाक हुई तो मुरतहिन के मुक़ाबिल ज़ामिन है यतीम के मुक़ाबिल में नहीं या'नी अगर चीज़ की क़ीमत दैन से ज़ाइद है तो इस ज़्याद का तावान उस के ज़िम्मे नहीं होगा। (हिदाया)

मसअ्ला.13:– वसी ने यतीम की चीज़ अपने ना'बालिग़ लड़के के पास रहन रखदी यह ना'जाइ है और बालिग़ लड़के या अपने बाप के पास रखदी यह जाइज़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– वसी ने वुरसा के ख़र्च और हाजत के लिये चीज़ उधार ली और उनकी चीज़ रह रखदी अगर यह सब वुरसा बालिग़ हैं तो ना'जाइज़ है और सब नाबालिग़ हैं तो जाइज़ है और बा बालिग़ बाज़ ना'बालिग़ हैं तो बालिग़ के हक़ में नाजाइज़ और नाबालिग़ के बारे में जाइज़। (आलमगीर

मसअ्ला.15:– मय्यित पर दैन है वसी ने तर्का को एक दाइन के पास रहन रख दिया य ना'जाइज़ है दूसरे दाइन इस रहन को वापस ले सकते हैं और अगर सिर्फ़ एक ही शख़्स का दैन तो इस के पास रहन रख सकता है और मय्यित का दूसरे पर दैन है तो वसी मदयून की चीज अपने पास रहन रख सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– राहिन मर गया तो उसका वसी रहन को बेचकर दैन अदा कर सकता है औ राहिन का वसी कोई नहीं है तो क़ाज़ी किसी को उसका वसी मुक़र्रर करे और उसे हुक्म देगा कि चीज़ बेचकर दैन अदा करे। (आलमगीरी)

रहन या राहिन या मुरतहिन कई हों उसका बयान

मसअ्ला.1:– हज़ार रुपये क़र्ज़ लिये और दो चीज़ रहन रखीं तो दोनों चीज़ें पूरे दैन के मुक़ाबिले में रहन हैं यह नहीं हो सकता कि एक के हिस्से का दैन अदा करके फ़क्के रहन कराले (या'नी गिरवी चीज छुड़ाले) जब तक पूरा दैन अदा न करले एक को भी नहीं छुड़ा सकता। हाँ अगर रहन रखते वक़्त हर एक के मुक़ाबिल में दैन का हिस्सा नाम'ज़द कर दिया हो मस्लन यह कह दिया हो कि छः सौ के मुक़ाबिल में यह है और चार सौ के मुक़ाबिल में यह है और अदा करते वक़्त कह दिया कि उसके मुक़ाबिल का दैन अदा करता हूँ तो उसका फ़क्के रहन हो सकता है कि यह एक रहन नहीं बल्कि दो अ़क़्द हैं। (ज़ैलई, दुर्रेमुख़्तार) और अगर दो चीज़ें रहन रखीं और यह कह दिया कि इतने दैन के मुक़ाबिल में एक और इतने के मुक़ाबिल में दूसरी मगर यह मुअ़य्यन नहीं किया कि किसके मुक़ाबिल में कौन है तो रहन सहीह नहीं। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.2:– दो शख़्सों के पास एक चीज़ रहन रखी उसकी कई सूरतें हैं अगर यह कहदिया कि आधी इस के पास रहन है और आधी उसके पास यह ना'जाइज़ कि मुशाअ़ का रहन ना'जाइज़ है और अगर इस क़िस्म की तफ़सील नहीं की है और एक ने क़बूल किया दूसरे ने ना'मन्जूर किया जब भी सहीह नहीं और दोनों ने क़बूल कर लिया तो वह चीज़ पूरी पूरी दोनों के पास रहन है इस की ज़रूरत नहीं कि दोनों ने इस शख़्स को मुश्तरक तौर पर दैन दिया हो दोनों में शिरकत हो या न हो बहर हाल वह चीज़ दोनों के पास रहन है राहिन अपनी चीज़ उसी वक़्त ले सकता है कि दोनों का पूरा पूरा दैन अदा करदे और एक पूरा दैन अदा कर दिया तो पूरी चीज़ उसी के पास रहन है जिसका दैन बाक़ी है। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.3:– दो शख़्सों के पास एक चीज़ रहन रखी और वह चीज़ क़ाबिले तक़सीम है दोनों तक़सीम करके आधी आधी अपने क़ब्ज़े में करलें और इस सूरत में अगर पूरी चीज़ एक ही के क़ब्ज़े में देदी तो जिस ने दी वह ज़ामिन है। और अगर चीज़ नाक़ाबिले तक़सीम है तो दोनों बारियाँ मुक़र्रर करलें अपनी अपनी बारी में हर एक पूरी चीज़ अपने क़ब्ज़े में रखे इस सूरत में वह चीज़ जिसके पास उसकी बारी में है तो दूसरे की तरफ़ से उसका हुक्म यह है कि जैसे किसी मोअ़तबर आदमी के पास शय मरहून होती है। (जिस का बयान आयेगा) (ज़ैलई)

मसअ्ला.4:– दो शख़्सों के पास चीज़ रहन रखी और वह हलाक होगई तो हर एक अपने हिस्से के

मुताबिक़ ज़ामिन है मस्लन एक शख़्स के दस रुपये थे दूसरे के पाँच थे और दोनों के पास एक चीज़ तीस रुपये की रहन रखदी उस चीज़ के दो हिस्से ज़ाइअ़ होगये एक हिस्सा बाक़ी है तो यह हिस्सा जो बाक़ी रहगया है दोनों पर तक़सीम होगा यानी दो तिहाईयाँ दस वाले की और एक तिहाई पाँच वाले की यानी दस वाले की दो तिहाईयाँ साक़ित होगईं एक तिहाई बाक़ी है यानी तीन रुपये पाँच आने चार पाई और पाँच वाले की दो तिहाईयाँ साक़ित हुईं एक तिहाई बाक़ी है यानी एक रुपया दस आने आठ पाई। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.5:– दो शख़्सों पर एक शख़्स का दैन है दोनों ने एक चीज़ दाइन के पास रहन रखी यह रहन सहीह है और पूरे दैन के मुक़ाबले में चीज़ गिरवी है दोनों के एक साथ इससे दैन लिया हो या अलग अलग दोनों सूरतों का एक हुक्म है फिर अगर एक ने अपना दैन अदा करदिया तो चीज़ को वापस नहीं ले सकता जब तक दूसरा भी अपने ज़िम्मे का दैन अदा न करदे। (हिदाया)

मसअ्ला.6:– मदयून ने दाइन को दो कपड़े दिये और यह कहा कि उनमें से जिस को चाहो रहन रखलो उस ने दोनों रख लिये कोई भी रहन न हुआ जब तक एक को मुअ़य्यन न करले और वह ज़ामिन नहीं होगा और ज़ाइअ़ होने से दैन साक़ित नहीं होगा इसी तरह अगर बीस रुपये बाक़ी थे दाइन ने मांगे मदयून ने इसके पास सौ रुपये डाल दिये कि तुम उनमें से अपने बीस लेलो और अभी उसने लिये नहीं कि यह सब रुपये ज़ाइअ़ होगये तो मदयून के गये दाइन का दैन बिहालिही बाक़ी। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मुतफ़र्रिक़ात

मसअ्ला.1:– शय मरहून को किसी ने ग़सब कर लिया तो इसका वही हुक्म है जो हलाक होने ज़ाइअ़ होने का है क़ीमत और दैन में जो कम है उसका ज़ामिन है यानी अगर दैन उसकी क़ीमत के बराबर या कम है तो दैन साक़ित होगया और क़ीमत कम है तो बक़द्रे क़ीमत साक़ित बाक़ी दैन मदयून से वसूल करे और अगर खुद मुरतहिन ही ने ग़स्ब किया यानी बिला इजाज़ते राहिन चीज़ को इस्तेमाल किया और हलाक हुई तो पूरी क़ीमत का ज़ामिन है अगर्चे क़ीमत दैन से ज़्यादा हो (दुर्रे0)

मसअ्ला.2:– मुरतहिन राहिन की इजाज़त से चीज़ को इस्तेअ़माल कर रहा था उस हालत में कोई छीन लेगया तो यह ग़स्ब हलाक के हुक्म में नहीं यानी इस सूरत में दैन बिल्कुल साक़ित नहीं होगा बल्कि इस हालत में हलाक होजाये जब भी दैन ब दस्तूर बाक़ी रहेगा कि अब वह रहन न रहा बल्कि आ़रियत व अमानत है हाँ इस्तेअ़माल से फ़ारिग़ होने पर फिर रहन होजायेगा और रहन के अहकाम जारी होंगे। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.3:– राहिन ने मुरतहिन से कहा कि चीज़ दलाल को देदो उसने देदी और ज़ाइअ़ होगई तो मुरतहिन उसका ज़ामिन नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– रहन में कोई मीआ़द नहीं होसकती मस्लन इतने दिनों के लिये रहन रखता हो मीआ़द मुक़र्रर करने से अ़क़्दे रहन फ़ासिद होजायेगा और इस सूरत में चीज़ हलाक होजाये तो ज़ामिन है और वही अहकाम हैं जो रहन सहीह के हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– राहिन ने मुरतहिन से कहा चीज़ को बेचडालो और राहिन मरगया मुरतहिन इस को बैअ़ करसकता है वुरसा को मना करने का हक़ नहीं और वुरसा इस बैअ़ को तोड़ भी नहीं सकते (दुर्रे)

मसअ्ला.6:– राहिन ग़ाइब होगया पता नहीं कि कहाँ है मुरतहिन इस मुआ़मला को क़ाज़ी के पास पेश करे क़ाज़ी उसको बेचकर दैन अदा कर सकता है और राहिन मौजूद है और दैन अदा नहीं करता उसको मजबूर किया जायेगा कि मरहून को बेचकर दैन अदा करे और न माने तो क़ाज़ी या अमीने क़ाज़ी बेचकर दैन अदा करदे और दैन का कुछ जुज़ बाक़ी रहजाये तो राहिन ही उसका ज़िम्मेदार है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.7:– दरख़्त को रहन रखा उसमें फल आये मुरतहिन फलों को बैअ़ नहीं कर सकता अगर्चे यह अन्देशा हो कि ख़राब हो जायेंगे अल्बत्ता इस मुआ़मला को क़ाज़ी के पास पेश कर सकता है

और अगर वहाँ क़ाज़ी ही न हो या इतना मौक़ा नहीं कि क़ाज़ी के पास मुआ़मला पेश किया जाये यानी चीज़ जल्द ख़राब हो जायेगी तो ख़ुद मुरतहिन भी बैअ़ कर सकता है। (दुर्रेमुख़्तार)

किसी मोअ़तबर शख़्स के पास शय मरहून को रखना

मसअ्ला.1:– अ़क़्दे रहन में राहिन व मुरतहिन दोनों ने यह शर्त की कि मरहून चीज़ फ़ुलाँ शख़्स के पास रख दी जायेगी यह सहीह है और उसके क़ब्ज़ा कर लेने से रहन मुकम्मल होगया यह शख़्स मुरतहिन तसव्वुर किया जायेगा इसके पास से चीज़ ज़ाइअ़ होगई तो वही अहकाम हैं जो मुरतहिन के पास हलाक होने में होते हैं ऐसे मोअ़तबर शख़्स को अ़दल कहते हैं क्येंकि राहिन व मुरतहिन ने उसे आ़दिल व मोअ़तबर समझ रखा है। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.2:– रहन में यह शर्त थी कि मुरतहिन का क़ब्ज़ा होगा फिर दोनों ने ब'इत्तिफ़ाके राय आ़दिल के पास रख दिया यह सूरत भी जाइज़ है। (आ़लमगीरी)

मसअ्ला.3:– दैन मीआ़दी था और मोअ़तबर शख़्स को यह कह दिया था कि जब मीआ़द पूरी हो जाये रहन को बैअ़ कर डाले और मीआ़द पूरी होगई मगर अभी तक चीज़ पर उस का क़ब्ज़ा ही नहीं तो रहन बातिल होगया मगर बैअ़ की वकालत इस के लिये ब'दस्तूर बाक़ी है अब भी बैअ़ कर सकता है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.4:– जब ऐसे शख़्स के पास चीज़ रखदी गई तो चीज़ को न राहिन ले सकता है न मुरतहिन और अगर उसने उन में से किसी को देदी तो इससे वापस लेकर अपने पास रखे और अगर उस के पास तलफ़ होगई तो ज़ामिन होगया यानी चीज़ की क़ीमत उससे तावान में ली जायेगी यानी राहिन व मुरतहिन दोनों मिलकर उससे तावान वसूल करें और उसको उसी के पास या किसी दूसरे के पास बतौर रहन रख दें यह नहीं हो सकता कि वह शख़्स बतौरे ख़ुद क़ीमत को अपने पास बतौर रहन रखले। (हिदाया) अगर अ़क़्दे रहन में उसके पास रखने की शर्त न थी और रख दिया गया इस सूरत में राहिन या मुरतहिन उससे ले और वह ज़ामिन नहीं होगा। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.5:– आ़दिल से क़ीमत का तावान लेकर फिर उसी के पास या दूसरे के पास रहन रखा गया और फ़र्ज़ करो कि उसने मरहून राहिन को दिया था और उस के पास हलाक हुआ इस सूरत में राहिन जब दैन अदा करदेगा तो वह तावान आ़दिल को वापस मिल जायेगा कि मुरतहिन को दैन वसूल होगया लिहाज़ा तावान लेने का मुस्तहक़ नहीं और राहिन को ख़ुद उसकी मरहून शय वसूल हो चुकी थी फिर उस तावान को क्योंकर ले सकता है। और अगर आ़दिल से मुरतहिन ने लिया था तो दैन अदा करने के बाद यह तावान की रक़म राहिन को मिलेगी क्योंकि राहिन की चीज़ का यह बदला है चीज़ नहीं मिली और हलाक होगई तो तावान जो उसके क़ाइम मक़ाम है उसे मिलेगा। रही यह बात कि आ़दिल ने मुरतहिन को दिया था और उसके पास हलाक हुआ तो मुरतहिन से इस ज़मान को रुजूअ़ कर सकता है या नहीं इसमें तफ़सील है अगर मुरतहिन को बतौर आ़रियत या वदीअ़त दिया है तो रुजूअ़ नहीं कर सकता जब कि मुरतहिन के पास हलाक होगया हो उसने ख़ुद हलाक न किया हो और अगर मुरतहिन ने ख़ुद हलाक कर दिया हो तो रुजूअ़ कर सकता है और अगर मुरतहिन को बतौर रहन दिया हो यह कह दिया हो कि तुम्हारा जो हक़ है उसमें ले जाओ तो इस सूरत में बहर हाल मुरतहिन से ज़मान वापस लेगा। (हिदाया, इनाया)

मसअ्ला.6:– राहिन ने मुरतहिन को या आ़दिल को या किसी और शख़्स को बैअ़ का वकील कर दिया था यह कह दिया था कि जब दैन की मीआ़द पूरी होजाये तो तुम इस को बेच डालना या मुतलक़न वकील करदिया है मीआ़द पूरी होने की क़ैद नहीं लगाई है यह तौकील (वकील बनाना) सहीह है इस वकील का बेचना जाइज़ है। बशर्ते कि जिस वक़्त उसे वकील किया है उस वक़्त उस में बैअ़ की अहलियत हो और अगर अहलियत न हो तो यह तौकील सहीह नहीं मसलन एक छोटे बच्चे को बैअ़ मरहून का वकील किया वह बच्चा अब बालिग़ होगया और बेचना चाहता है बैअ़

नहीं कर सकता कि वह वकील ही नहीं हुआ। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– अ़क़्दे रहन में बैअ् मरहून की वकालत शर्त थी कि मुरतहिन या फ़ुलाँ शख़्स उस चीज़ को बैअ् कर देगा इस वकील को राहिन अगर मअ्ज़ूल करना चाहे नहीं कर सकता यानी मअ्ज़ूल करे तो भी मअ्ज़ूल नहीं होगा और यह वकालत ऐसी है कि न राहिन के मरने से ख़त्म हो न मुरतहिन के मरने से और इस वकील के लिये यह ज़रूरी नहीं कि राहिन या मुरतहिन की मौजूदगी ही में बैअ् करे न यह ज़रूरी कि वह मर गये हों तो उनके वुरसा की मौजूदगी में बैअ् करें(हिदाया)

मसअ्ला.8:– वकील के मरजाने से वकालत बातिल होजायेगी उस का वारिस् या वसी उसका क़ाइम मक़ाम नहीं होगा कि वकालत उसी के दम के साथ वा'बस्ता थी यह वकील दूसरे शख़्स को बैअ् करने का वसी नहीं बना सकता मगर जबकि वकालत में उसकी शर्त हो तो वसी बना सकता है(आलमगीरी)

मसअ्ला.9:– वकालत मुतलक़ थी तो नक़द और उधार दोनों तरह बेचने का उसे इख़्तियार हासिल है उसके बाद अगर उधार बेचने से मनअ् करदे तो इसका कुछ असर नहीं यानी मुमानअ़त के बाद भी उधार बेच सकता है। (हिदाया)

मसअ्ला.10:– राहिन गाइब है और मीआद पूरी होगई वकील बेचने से इनकार करता है तो उसको बेचने पर मजबूर किया जायेगा बल्कि अ़क़्दे रहन में बैअ् की शर्त न थी बाद में राहिन ने किसी को बैअ् का वकील करदिया यह भी बैअ् से इन्कार नहीं कर सकता उसे भी बेचने पर मजबूर किया जायेगा। (हिदाया)

मसअ्ला.11:– रहन में वकालते बैअ् शर्त थी और फ़र्ज़ करो मरहून के बच्चा पैदा होगया तो बच्चे को भी यह वकील बैअ् कर सकता है दूसरे वकीलों को इस क़िस्म का इख़्तियार नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.12:– जिस जिन्स का दैन था उस के ख़िलाफ़ दूसरी जिन्स से उस वकील ने बैअ् की और दैन रुपया था और उसने अशर्फ़ी के बदले में बैअ् की तो उस ज़रे स्मन को जिन्से दैन से बैअ् सर्फ़ कर सकता है यानी अशर्फ़ियाँ रुपये से भुना सकता है दूसरे वकील को यह इख़्तियार हासिल नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.13:– राहिन ने बैअ् का किसी को वकील कर दिया है तो न राहिन बैअ् कर सकता है न मुरतहिन हाँ दूसरे की रज़ा'मन्दी हासिल करके यह दोनों बैअ् कर सकते हैं यानी राहिन मुरतहिन से रज़ा'मन्दी हासिल करे या मुरतहिन राहिन से। (हिदाया)

मसअ्ला.14:– उस आ़दिल ने मरहून को बैअ् कर दिया तो मरहून चीज़ रहन से ख़ारिज होगई और यह स्मन इसके क़ाइम मक़ाम होगया अगर्चे अभी स्मन पर क़ब्ज़ा न हुआ हो लिहाज़ा अगर स्मन हलाक होगया मस्लन मुश्तरी से वसूल ही न हुआ या आ़दिल के पास से ज़ाइअ् होगया तो मुरतहिन का हलाक हुआ यानी दैन साक़ित होगया और इस सूरत में मरहून की वाजिबी क़ीमत का लिहाज़ नहीं होगा बल्कि ख़ुद स्मन को देखा जायेगा यानी जितना स्मन से है उतना दैन साक़ित अगर्चे वाजिबी क़ीमत कम हो या ज़ाइद। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.15:– आ़दिल ने मरहून को बेचकर ज़रे स्मन मुरतहिन को देदिया और इस मरहून शय में इस्तिहक़ाक़ हुआ यानी किसी और शख़्स ने साबित कर दिया कि यह चीज़ मेरी है अगर मबीअ् मुश्तरी के पास मौजूद है तो मुस्तहक़ इस मबीअ् को मुश्तरी से ले लेगा और मुश्तरी अपना ज़रे'स्मन इस आ़दिल से वसूल करेगा और आ़दिल इस राहिन से वसूल करेगा और इस सूरत में मुरतहिन का ज़रे स्मन पर क़ब्ज़ा सहीह होगया, और यह भी हो सकता है कि आ़दिल मुरतहिन से स्मन वापस ले और मुरतहिन राहिन से अपना दैन वसूल करे और अगर वह चीज़ मुश्तरी के पास हलाक हो चुकी है तो मुस्तहक़ राहिन से मरहून की क़ीमत का तावान ले क्योंकि राहिन ग़ासिब है और इस सूरत में बैअ् भी सहीह होगई और मुरतहिन का ज़रे स्मन पर क़ब्ज़ा भी सहीह होगया और यह भी हो सकता है कि मुस्तहक़ उस आ़दिल से तावान ले फिर आ़दिल मुरतहिन से और अब

भी बैअ् और समन पर कब्ज़ा सहीह होगया या मुस्तहक़ आदिल से तावान ले और आदिल मुरतहिन से जरे समन वापस ले फिर मुरतहिन राहिन से अपना दैन वसूल करे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.15:– मुरतहिन के पास मरहून हलाक होगया इसके बाद उस में इस्तिहक़ाक़ हुआ और मुस्तहक़ ने राहिन से ज़मान लिया तो दैन साक़ित होगया, और अगर मुरतहिन से क़ीमत का ज़मान लिया तो जो कुछ तावान दिया है राहिन से वापस लेगा और अपना दैन भी वसूल करेगा(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.16:– एक शख़्स ने दूसरे से कोई चीज़ ख़रीदी बाइअ् कहता है कि जब तक समन न दोगे मबीअ् पर कब्ज़ा नहीं दूँगा और मुश्तरी यह कहता है कि जब तक मबीअ् न दोगे समन नहीं दूँगा दोनों में इस तरह मुसालहत हुई कि मुश्तरी किसी तीसरे के पास समन जमअ् करदे और मबीअ् पर कब्ज़ा करले इसने समन जमअ् करदिया मगर तीसरे के पास से ज़ाइअ् होगया तो मुश्तरी का ज़ाइअ् हुआ और अगर यह तै पाया कि तीसरे के पास समन के मुक़ाबिल में कोई चीज़ रहन रखदे उस वक़्त मबीअ् पर कब्ज़ा दूँगा उसने रहन रखदी और ज़ाइअ् होगई तो बाइअ् की चीज़ हलाक हुई यानी समन साक़ित होगया। (आलमगीरी)

मरहून में तसर्रुफ़ का बयान

मसअ्ला.1:– राहिन ने मरहून को बिग़ैर इजाज़ते मुरतहिन बैअ् कर दिया तो यह बैअ् मौकूफ़ है अगर मुरतहिन ने इजाज़त देदी या राहिन ने मुरतहिन का दैन अदा करदिया तो बैअ् जाइज़ व नाफ़िज़ होगई और पहली सूरत में कि मुरतहिन ने इजाज़त देदी वह समन रहन होजायेगा समन मुश्तरी से वसूल हुआ हो या न हुआ हो दोनों का एक हुक्म है और अगर मुरतहिन ने इजाज़त नहीं दी तो अब भी वह बैअ् न बातिल हुई न मुरतहिन के फ़स्ख़ करने से फ़स्ख़ होगी लिहाज़ा मुश्तरी को इख़्तियार है कि फ़क्के रहन(रहन के छूटने)का इन्तिज़ार करे जब रहन छूटजाये अपनी चीज़ लेले और अगर इन्तिज़ार न करना चाहे तो क़ाज़ी के पास मुआमला पेश करदे वह बैअ् को फ़स्ख़ कर देगा(हिदाया)

मसअ्ला.2:– मुरतहिन अगर शय मरहून को बैअ् करे तो यह बैअ् भी इजाज़ते राहिन पर मौकूफ़ है वह चाहे तो जाइज़ करदे वरना जाइज़ नहीं और राहिन उस बैअ् को बातिल कर सकता है। मुरतहिन ने बैअ् करदी और चीज़ मुश्तरी के पास राहिन की इजाज़त से पहले ही हलाक होगई तो राहिन अब इजाज़त भी नहीं दे सकता और राहिन को इख़्तियार है दोनों में से जिस से चाहे अपनी चीज़ का ज़मान ले। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.3:– मुरतहिन ने राहिन से कहा कि रहन को फ़ुलाँ के हाथ बैअ् करदो उसने दूसरे के हाथ बेचा यह जाइज़ नहीं और मुस्ताजिर ने मूजिर से कहा कि फ़ुलाँ के हाथ यह मकान बेचदो उसने दूसरे के हाथ बेच दिया यह बैअ् जाइज़ है। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.4:– राहिन ने एक शख़्स के हाथ बैअ् की और मुरतहिन की इजाज़त से क़ब्ल दूसरे के हाथ बैअ् करदी यह दूसरी बैअ् भी इजाज़ते मुरतहिन पर मौकूफ़ है मुरतहिन जिस एक को जाइज़ कर देगा वह जाइज़ हो जायेगी दूसरी बातिल होजायेगी। (हिदाया)

मसअ्ला.5:– राहिन ने मरहून को बैअ् किया फिर उसको इजारे पर दिया, किसी और के पास रहन रख दिया, या किसी और को हिबा कर दिया, और उन दोनों सूरतों में मुरतहिने सानी या मौहूब'लहू को कब्ज़ा भी देदिया उसके बाद मुरतहिने अव्वल ने इजारा या रहन या हिबा को जाइज़ कर दिया तो वह पहली बैअ् जो मौकूफ़ थी जाइज़ होगी और यह तसर्रुफ़ात ना'जाइज़ होगये। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– राहिन ने मरहून को एक शख़्स के हाथ बैअ् करदिया उसके बाद फिर मुरतहिन के हाथ बेचा तो यह दूसरी बैअ् जाइज़ होगई पहली बातिल होगई। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.7:– मरहून को राहिन ने हलाक कर दिया और दैन ग़ैर मीआदी है या मीआदी था मगर मीआद पूरी हो चुकी है तो मुरतहिन राहिन से अपना दैन वसूल करले और अगर मीआद अभी पूरी नहीं हुई है तो राहिन से उसकी क़ीमत का तावान ले और यह क़ीमत बजाए मरहून रहन में रहे जब मीआद पूरी होजाये

तो बक़द्रे दैन अपने हक़ में वसूल करले कुछ बचे तो वापस करदे और कम हो तो बक़िया राहिन से वसूल करे। यह हुक्म उस वक़्त है कि क़ीमत उसी जिन्स की हो जिस जिन्स का दैन है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.8:– किसी अजनबी ने मरहून को तल्फ़ कर दिया तो उस हलाक करने वाले से तावान लेना मुरतहिन का काम है हलाक करने के वक़्त जो उसकी क़ीमत थी वह क़ीमत तावान में ले और अगर मीआ़द पूरी होगई तो दैन में वसूल करे और मीआ़द बाक़ी है तो यह क़ीमत रहन में रहे यहाँ एक सूरत यह भी है कि जिस रोज़ चीज़ रहन रखी गई थी उस रोज क़ीमत ज़्यादा थी और जिस दिन हलाक हुई उसकी क़ीमत कम होगई तो अजनबी से अगर्चे आज की क़ीमत लेगा मगर मुरतहिन के हक़ में उसी पहली क़ीमत का एअ्तिबार होगा मस्लन फ़र्ज़ करो एक हज़ार रुपया दैन था और चीज़ रहन रखी गई उसकी क़ीमत भी एक हज़ार थी मगर जिस रोज़ अजनबी ने हलाक़ की उसकी क़ीमत पाँच सौ है तो अजनबी से पाँचसौ तावान लेगा और पाँचसौ रुपये दैन के साक़ित होगये जिस त़रह आफ़ते समाविया से हलाक होने में दैन साक़ित होता है(हिदाया)

मसअ्ला.9:– ख़ुद मुरतहिन ने मरहून को हलाक करदिया तो उस पर भी तावान वाजिब है फिर अगर दैन की मीआ़द पूरी होचुकी है और यह क़ीमत जिन्से दैन से है तो दैन वसूल करले और कुछ बचे तो राहिन को वापस दे और यह दोनों बातें न हों तो यह क़ीमत बजाए मरहून रहन में रहेगी उस चीज़ की क़ीमत नर्ख़ सस्ता होने की वजह से कम होगई है तो जितनी कमी हुई उतना दैन साक़ित होगया कि मुरतहिन के हक़ में उसी क़ीमत का एअ्तिबार होगा जो रहन रखने के दिन थी(हिदाया)

मसअ्ला.10:– मुरतहिन ने राहिन को मरहून शय बत़ौर आ़रियत देदी मुरतहिन के ज़मान से निकल गई यानी अगर राहिन के यहाँ हलाक होगई तो मुरतहिन पर इसका कुछ अस्र नहीं और देते वक़्त मुरतहिन ने राहिन से कफ़ील (ज़ामिन) लिया था कि उसे वापस कर देगा तो कफ़ील से भी मुरतहिन कोई मुत़ालबा नहीं कर सकता कि इस चीज़ में रहन का हुक्म बाक़ी ही नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– मुरतहिन ने राहिन को बत़ौर आ़रियत मरहून देदिया था उसने फिर वापस कर दिया तो फिर वह चीज़ मुरतहिन के ज़मान में आगई और रहन का हुक्म ह़स्बे साबिक़ उसमें जारी होगा मुरतहिन को राहिन से वापस लेने का ह़क़ बाक़ी रहता है क्योंकि आ़रियत देने से रहन बात़िल नही होता। (हिदाया)

मसअ्ला.12:– आ़रियत की सूरत में मुरतहिन के वापस लेने से क़ब्ल अगर राहिन मरगया तो दूसरे क़र्ज़ ख़्वाहों से मुरतहिन ज़्यादा ह़क़दार है यानी दूसरे उस मरहून से अपने दैन वसूल नहीं कर सकते जब तक मुरतहिन अपना दैन वसूल न करले उसके वसूल करने के बाद अगर कुछ बचे तो वह लोग ले सकते हैं वरना नहीं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.13:– राहिन व मुरतहिन में से एक ने दूसरे की इजाज़त से मरहून शय किसी अजनबी को बत़ौर आ़रियत देदी या अजनबी के पास वदीअ़त रखदी तो मरहून ज़मान से निकल गया और दोनों में से हर एक को यह इख़्तियार है कि उसे फिर ज़मान में लाये यानी उसे रहन बनादे। (हिदाया)

मसअ्ला.14:– मुरतहिन ने राहिन से मरहून को इस्तेअ्माल करने के लिये आ़रियत लिया यह आ़रियत सह़ीह़ है मगर इस्तेमाल से पहले या इस्तेमाल के बाद मरहून हलाक हुआ तो मुरतहिन ज़ामिन है यानी वही हुक्म है जो मुरतहिन के पास मरहून के हलाक होने में होता है और अगर ह़ालते इस्तेअ्माल में हुआ तो मुरतहिन के ज़िम्मे कुछ ज़मान नहीं। इसी त़रह़ अगर मुरतहिन को राहिन ने इस्तेअ्माल की इजाज़त देदी है तो ह़ालते इस्तेअ्माल में हलाक होने में ज़मान नहीं है और क़ब्ल या बाद में हलाक हुआ तो ज़मान है। (हिदाया)

मसअ्ला.15:– क़ुर्आन मजीद या किताब रहन रखी है तो मुरतहिन को उसमें पढ़ना ना'जाइज़ है हाँ अगर राहिन से इजाज़त लेकर पढ़े तो पढ़ सकता है मगर जितनी देर तक पढ़ेगा उतनी देर तक आ़रियत है फ़ारिग़ होने के बाद रहन है यानी पढ़ते वक़्त हलाक होजाये तो दैन साक़ित नहीं होगा

उसके बाद हलाक हो तो साकित होजायेगा। (आलमगीरी)

मसअला.16:– राहिन व मुरतहिन में से एक ने दूसरे की इजाज़त से मरहून को बैअ् कर दिया, इजारे पर देदिया, हिबा कर दिया, या रहन रख दिया उन सब सूरतों में मरहून रहन से ख़ारिज होगया अब वह रहन में वापस नहीं लिया जा सकता जब तक फिर नया अक़्दे रहन न हो और उन सूरतों में अगर राहिन ने मुरतहिन के पास फिर से रहन न रखा और मरगया तो तन्हा मुरतहिन उसका मुस्तहक़ नहीं बल्कि जैसे दूसरे क़र्ज़ ख़्वाह हैं एक यह भी है अपना हिस्सए रसद (जितना उसके हिस्से में आता है) यह भी ले सकता है। (हिदाया) बैअ् व इजारा व हिबा ख़ुद मुरतहिन के हाथ हो या अजनबी के हाथ हो दोनों का एक हुक्म है और ख़ुद राहिन के हाथ मरहून को बैअ् किया तो इस से रहन बातिल न हुआ। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.17:– मुरतहिन की इजाज़त से अजनबी को किराये पर देदिया तो उजरत राहिन की है और बिग़ैर इजाज़त दिया तो उजरत मुरतहिन की है मगर उसको सदक़ा करना होगा और इस सूरत में रहन वापस ले सकता है। (आलमगीरी)

मसअला.18:– मुरतहिन ने बिग़ैर इजाज़ते राहिन रहन को इजारा पर साल भर के लिये दिया और साल पूरा होने के बाद राहिन ने इजाज़त दी यह इजाज़त सहीह नहीं लिहाज़ा मुरतहिन रहन को वापस ले सकता है और छः माह गुज़रने के बाद इजाज़त दी तो इजाज़त सहीह है पहली सूरत में पूरी उजरत मुरतहिन की है जिसको सदक़ा करे और दूसरी सूरत में निस्फ़ उजरत राहिन की है और निस्फ़ मुरतहिन की, मुरतहिन को जो मिली सदक़ा करदे और इस दूसरी सूरत में चीज़ को मुरतहिन रहन में वापस नहीं ले सकता। (आलमगीरी) इस ज़माने में अकसर ऐसा होता है कि खेत या मकान रहन रख लेते हैं फिर मुरतहिन मकान को किराये पर उठा देता है और खेत को लगान और पट्टे पर देदिया करता है और इस किराया या लगान को ख़ुद खाता है इसका सूद होना तो ज़ाहिर है कि क़र्ज़ के ज़रीआ से नफ़अ् उठाना है मगर इसके साथ यह बताना भी है कि अगर राहिन से इजाज़त हासिल नहीं की है तो उसकी मिल्क में एक ना'जाइज़ तसर्रुफ़ है और यह भी गुनाह है और अगर इजाज़त लेली है तो रहन ख़त्म होगया उसके बाद मुरतहिन का इस चीज़ पर क़ब्ज़ा ना'जाइज़ क़ब्ज़ा और ग़ासिबाना क़ब्ज़ा है यह भी हराम है मुरतहिन पर लाज़िम है कि ऐसे गुनाह के कामों से परहेज़ करे यह न देखे कि अंग्रेज़ी क़ानून हमें इस क़िस्म की इजाज़त दे रहा है बल्कि मुसलमान को यह देखना चाहिए कि शरीअत का क़ानून हमें इजाज़त देता है या नहीं क़ानूने शरीअत तुम्हारे लिये दुनिया व आख़िरत दोनों जगह नाफ़ेअ् (नफ़ा देने वाला) है अंग्रेज़ी क़ानून से अगर तुम्हें कुछ नफ़अ् पहुँच सकता है तो सिर्फ़ दुनिया ही में और अगर वह ख़ुदा व रसूल जल्ला जलालुहू व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के ख़िलाफ़ है तो सख़्त टोटा और नुक़सान है।

मसअला.19:– दुसरे से कोई चीज़ रहन रखने के लिये आरियत मांगी उसने देदी उस चीज़ को रहन रखना जाइज़ है फिर अगर मालिक ने कोई क़ैद नहीं लगाई है तो मुस्तईर को इख़्तियार है कि जिसके पास चाहे, जितने में चाहे, जिस शहर में चाहे, रहन रखे उसके ज़िम्मे कोई पाबन्दी नहीं है और अगर मालिक ने मुअय्यन कर दिया है कि फुलाँ के पास रखना या फुलाँ शहर में या इतने में रखना तो उसको पाबन्दी करनी ज़रूर है ख़िलाफ़ करने की इजाज़त नहीं और अगर उसने मालिक के कहने के ख़िलाफ़ किया तो मालिक को इख़्तियार है कि अपनी चीज़ मुरतहिन से लेले और रहन को फ़स्ख़ करदे और चीज़ हलाक होगई है तो उसकी पूरी क़ीमत का तावान ले तावान लेने में इख़्तियार है कि राहिन से तावान ले या मुरतहिन से अगर मुस्तईर से ज़मान लिया रहन सहीह होगया और मुरतहिन से ज़मान लिया तो मुरतहिन अपना दैन और ज़मान दोनों राहिन से वसूल करेगा (हिदाया व दुर्रेमुख़्तार) मालिक ने जो क़ैद लगादी है उसकी मुख़ालफ़त इस वजह से नहीं की जा सकती कि मालिक के नुक़सान का अन्देशा है क्योंकि मालिक को अगर ज़रूरत पेश आती

और यह चाहता है कि रहन छुडालूँ और जिस रकम के मुकाबिल में उसने रहन रखने को कहा था उससे ज्यादा रकम के मुकाबिल में रहन है तो बसाऔकात मालिक को इस रकम के फराहम करने मे दुश्वारी होगी इसी तरह अगर मालिक की बताई हुई रकम से कम में रखी और चीज हलाक हो गई तो कीमती चीज थोडे से दामों के मुकाबिल में हलाक होगई इस में भी मालिक का नुकसान है इसी तरह मुरतहिन और जगह की कैद लगाने में फवाइद है लिहाजा यह कैदें बेकार नहीं है कि उन का लिहाज न किया जाये। (हिदाया)

मसअ्ला.20:– मुईर ने जो कैद लगाई थी मुरतईर ने उसकी मुखालफत की मगर यह मुखालफत मुईर के लिए मुजिर नहीं बल्कि मुफीद है तो इस सूरत में न मुरतहिन पर जमान है न राहिन पर मसलन उसने जितने पर रहन रखने को कहा था उससे कम के मुकाबिल में रखदिया मगर यह कभी चीज की वाजिबी कीमत (सही कीमत) के बराबर या वाजिबी कीमत से जाइद है मसलन उसने एक हजार म रहन रखने को कहा था और यह चीज पाँच सौ की है कि मुरतईर ने पाँच सौ या छ सौ गरज हजार से कम में रहन रखदी यह मुखालफत जाइज है कि उसमें मुईर का कुछ नुकसान नहीं क्योंकि हलाक होने की सूरत में वाजिबी कीमत मिलेगी यानी वही पाँच सौ हजार तो मिलते नहीं फिर क्या नुकसान हुआ बल्कि फायदा यह है कि अगर अपनी चीज छुडाना चाहेगा तो हजार रुपये फराहम करने नहीं पड़ेंगे जितने में रहन है उतने ही देकर छुडा सकेगा। (जौहरा)

मसअ्ला.21:– मुईर ने जो कुछ मुस्तईर से कह दिया था मुरतईर ने उसी के मुवाफिक किया मसलन जितने में रहन रखने को कहा था उतने ही में रखा और फर्ज करो मुरतहिन के पास वह चीज हलाक होगई इसकी कई सूरतें हैं उस चीज की कीमत दैन के बराबर है या ज्यादा या दैन से कम है। पहली दो सूरतों मे मुरतहिन का दैन साकित होगया और राहिन यानी मुस्तईर, मुईर को यानी मालिक को बकद्र दैन अदा करे। और दूसरी सूरत में कि दैन से ज्यादा कीमत है उस ज्यादती का कुछ मुआवजा नहीं और तीसरी सूरत में कि चीज की कीमत दैन से कम है बकद्रे कीमत दैन साकित होगया और बाकी दैन मुरतहिन राहिन से वसूल करेगा और राहिन मुईर को कीमत अदा करेगा और मिस्ली चीज है तो मिस्ल देदे। (हिदाया)

मसअ्ला.22:– मुस्तईर ने आरियत की चीज रहन रखी और उसमें मुरतहिन के पास कुछ ऐब पैदा होगया इस ऐब की वजह से चीज की कीमत मे कमी हुई वह मुरतहिन के जिम्मे है यानी इतनी ही दैन में कमी होगई और उसी के बराबर मुस्तईर मालिक को दे। (हिदाया)

मसअ्ला.23:– मुईर यह चाहता है कि मैं दैन अदा करके अपनी चीज छुडालूँ तो मुरतहिन फक्के रहन पर (गिरवी रखी हुई चीज के छुडाने पर) मजबूर है, यह नहीं कह सकता कि मैं चीज अभी नहीं दूंगा फक्के रहन के बाद मुईर मुस्तईर यानी राहिन से दैन की रकम वसूल करेगा इस फक्के रहन का तबर्रोअ् नहीं कहा जा सकता कि मुस्तईर से रकम वसूल न करने पाये और अगर कोई अजनबी शख्स दैन अदा करके फक्के रहन कराये तो राहिन से वसूल नहीं कर सकता कि यह मुतबर्रेअ् है। यह हुक्म कि मुईर राहिन से दैन की रकम वसूल करेगा उस वक्त है कि दैन उतना ही है जितनी उस चीज की कीमत है और अगर दैन की मिकदार उस चीज से जाइद है तो राहिन से सिर्फ कीमत की बराबर वसूल कर सकता है कीमत से ज्यादा जो कुछ दिया है वह तबर्रोअ् है उसे नहीं वसूल कर सकता और अगर जो चीज की कीमत दैन से जाइद है और मुईर दैन अदा करके छुडाना चाहता है तो मुरतहिन इस सूरत में फक्के रहन पर मजबूर नहीं। (दुर्रेमुख्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.24:– रहन रखने के लिये कोई चीज आरियत ली थी मुरतहिन ने अभी दैन का वअ्दा ही किया था दिया नहीं था और उसने वह चीज रहन रखदी और मुरतहिन के पास हलाक होगई तो मुरतहिन ने जितने दैन का वअ्दा किया था उतना तावान दे और मुईर, मुस्तईर यानी राहिन से इतना वसूल करेगा। (हिदाया)

मसअला.25:– रहन रखने के लिये चीज़ आ़रियत ली थी और रहन रखने से पहले ही मुस्तईर के यहाँ वह चीज़ हलाक होगई या फ़क्के रहन के बाद अभी मुस्तईर के यहाँ थी वापस नहीं की थी और हलाक होगई उन दोनों सूरतों में मुस्तईर पर तावान वाजिब नहीं कि वह चीज़ उस के पास अमानत थी और अगर मुस्तईर ने क़ब्ले रहन या बाद फ़क्के रहन चीज़ को इस्तेअ्माल किया मस्लन घोड़ा था उसपर सवार हुआ, कपड़ा या ज़ेवर था उसे पहना, मगर फिर अपनी इस ह़रकत से बाज़ आया और उसका इस्तेअ्माल तर्क कर दिया और चीज़ हलाक होगई इस सूरत में भी उसके ज़िम्मे तावान नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअला.26:– मुईर व मुस्तईर में इख़्तिलाफ़ है मुईर कहता है कि चीज़ मुरतहिन के यहाँ हलाक हुई लिहाज़ा दैन साक़ित, मुझे ज़मान दो और मुस्तईर कहता है मैंने छुडाली थी मेरे यहाँ चीज़ हलाक हुई लिहाज़ा मुझपर तावान नहीं इस सूरत में राहिन की बात मानी जायेगी यानी क़सम के साथ और जितने में मुईर ने रहन रखने को कहा था उसमें इख़्तिलाफ़ है एक कहता है सौ रुपये में रहन रखने को कहा था दूसरा पचास रुपये बताता है तो मुईर का क़ौल मोअ्तबर है यानी क़सम के साथ। (हिदाया)

मसअला.27:– मुस्तईर मुफ़्लिस (नादार) होगया और इसी ह़ालते इफ़्लास ही में (नादारी की हालत में) मरगया तो आ़रियत की चीज़ जो मुरतहिन के पास रहन है वह ब'दस्तूर रहन है अगर मुरतहिन यह चाहे कि उसे बेच दिया जाये तो जब तक मुईर से रज़ा'मन्दी ह़ासिल न करली जाये बेची नहीं जा सकती कि वही मालिक है और अगर मुईर बेचना चाहता है तो दो सूरतें हैं अगर इतने में फ़रोख़्त होगी कि दैन के लिये पूरा होजाये तो मुरतहिन से इजाज़त ह़ासिल करने की कुछ ज़रूरत नहीं वरना मुरतहिन से इजाज़त लेनी होगी। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.28:– मुईर मुफ़्लिस होगया और इसी ह़ालत में मरगया और उस के ज़िम्मे दूसरों का दैन है राहिन को हुक्म दिया जायेगा कि अपना दैन अदा करके रहन छुड़ाये फिर इस रहन से मुईर का दैन अदा किया जाये और अगर राहिन भी मुफ़्लिस है कि अपना दैन नहीं अदा कर सकता तो यह चीज़ ब'दस्तूर रहन रहेगी। हाँ अगर वुरसा–ए–मुईर यह चाहें कि मुरतहिन का दैन अदा करके फ़क्के रहन करायें तो उनको इख़्तियार है। मुईर के क़र्ज़ ख़्वाह वुरसा–ए–मुईर से यह कहते हैं कि चीज़ बैअ् करदी जाये अगर बेचने से मुरतहिन का दैन अदा हो सकता है तो बैअ् की जायेगी वरना बिग़ैर इजाज़ते मुरतहिन बैअ् नहीं हो सकती है जैसाकि ख़ुद मुईर की ज़िन्दगी में बिग़ैर मुरतहिन की रज़ा'मन्दी के बैअ् नहीं हो सकती थी और अगर बेचने की सूरत में मुरतहिन का दैन अदा होकर कुछ बच रहेगा मगर इतना नहीं बचेगा कि मुईर के क़र्ज़ ख़्वाहों का पूरा पूरा दैन अदा होजाये तो इस सूरत में उन क़र्ज़ ख़्वाहों की इजाज़त से बैअ् की जाये बिग़ैर इजाज़त बैअ् नहीं हो सकती और उनका भी पूरा दैन अदा होता हो तो इजाज़त की कुछ ज़रूरत नहीं।

रहन में जनायत का बयान

जनायत की कई सूरतें हैं मुरतहिन मरहून पर जनायत करे यानी उसको नुक़सान पहुँचाये या तलफ़ करदे या राहिन मरहून पर जनायत करे या शय मरहून राहिन पर या मुरतहिन पर जनायत करे। मरहून जनायत करे। इस ~ी सूरत यह है कि वह लोन्डी या गुलम है और वह राहिन या मुरतहिन के जान या माल में नुक़सान पहुँचाये या हलाक करे उसको हम बयान करना नहीं चाहते सिर्फ़ राहिन या मुरतहिन की जनायत को मुख़्तसर तौर पर बताना चाहते हैं।

मसअला.1:– राहिन ने मरहून पर जनायात की यानी उसको तलफ़ करदिया या उसमें नुक़सान पहुंचाया इसका वही हुक्म है जो अजनबी की जनायत का है यानी उसको तावान देना होगा यह नहीं समझा जायेगा कि वह तो ख़ुद ही मरहून का मालिक है उसपर तावान कैसा, क्योंकि मरहून के साथ मुरतहिन का ह़क़ मुतअ़ल्लिक़ है और यह तावान मुरतहिन के पास मरहून रहेगा और अगर उसी जिन्स का है जिस जिन्स का दैन है और दैन की मीआ़द न हो तो अपना दैन उससे वसूल करेगा। (हिदाया, वग़ैरहा)

मसअ्ला.2:– मुरतहिन ने रहन पर जनायत की इसका भी ज़मान है और यह ज़मान अगर जिन्से दैन से है और मीआ़द पूरी होचुकी है तो बक़द्रे ज़मान दैन साक़ित होजायेगा और इसमें से कुछ बचा तो राहिन को वापस करे कि इसकी मिल्क का मुआ़वज़ा है। (हिदाया)

मसअ्ला.3:– मरहून चीज़ में अगर निर्ख़ (क़ीमत) कम होजाने से नुक़सान पैदा हो तो हलाक होने की सूरत में इस कमी का लिहाज़ नहीं होगा और इसके अजज़ा में कमी हुई तो उसका एअ्तिबार होगा लिहाज़ा एक चीज़ जिसकी क़ीमत सौ रुपये थी सौ रुपये में रहन रखी और अब उसकी क़ीमत पचास रुपये रहगई कि निर्ख़ सस्ता होगया और फ़र्ज़ करो किसी ने उसको हलाक कर दिया तो पचास रूपये तावान लिया जायेगा कि इस वक़्त यही उसकी क़ीमत है तो मुरतहिन को सिर्फ़ यही पचास रुपये मिलेंगे और राहिन से बक़िया रक़म वसूल नहीं कर सकता और अगर राहिन के कहने से मुरतहिन को पचास में बेचे तो बक़िया पचास रुपये राहिन से वसूल करेगा। (हिदाया)

मसअ्ला.4:– जानवर मरहून है उसने मुरतहिन को या उसके माल को हलाक कर दिया उसका कुछ एअ्तिबार नहीं यह वैसा ही है जैसे आफ़ते समाविया (प्राकृतिक आपदा) से हलाक हो। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.5:– राहिन या मुरतहिन के मरने से रहन बातिल नहीं होता बल्कि दोनों मर जायें जब भी बातिल नहीं होगा बल्कि वुरसा या वसी उस मरे हुए के क़ाइम मक़ाम हैं। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.6:– मुरतहिन अगर चाहे तो खुद ही तन्हा फ़स्ख़े रहन कर सकता है और राहिन फ़स्ख़े रहन नहीं कर सकता जब तक मुरतहिन राज़ी न हो लिहाज़ा मुरतहिन ने फ़स्ख़े रहन कर दिया और राहिन राज़ी न हुआ और इसके बाद मरहून हलाक होगया तो दैन साक़ित न हुआ कि रहन फ़स्ख़ होचुका है और इसके अ़क्स में यानी राहिन ने फ़स्ख़ कर दिया और मुरतहिन राज़ी नहीं और चीज़ हलाक होगई तो दैन साक़ित कि रहन फ़स्ख़ नहीं हुआ। (रद्दुलमुहतार) पहली सूरत में दैन साक़ित न होना उस वक़्त है कि मुरतहिन के ज़मान से निकल चुकी हो, वरना सिर्फ़ रहन फ़स्ख़ होने से ज़मान से ख़ारिज नहीं होती जब तक राहिन को वापस न देदे।

मुतफ़र्रिक़ात

मसअ्ला.1:– दस रुपये में बकरी रहन रखी और यह बकरी भी दस रुपये क़ीमत की है फिर यह बकरी बिला ज़िबह किये मरगई और उसकी खाल ऐसी चीज़ से दबाग़त (साफ़ करके किसी रंग से रंगी या पक्की की) की जिसकी कोई क़ीमत नहीं और रहन के दिन खाल की एक रुपया क़ीमत थी तो एक रुपया में रहन है और दो रुपया थी तो दो में रहन है और बैअ् में यह बात नहीं यानी बकरी मबीअ् होती और क़ब्ले क़ब्ज़ा मरजाती तो खाल पका लेने के बाद भी उसकी बैअ् सहीह नहीं रहती (हिदाया) और अगर बकरी की क़ीमत दैन से ज़्यादा है मसलन बीस रुपये क़ीमत की है तो खाल आठ आने में रहन है और अगर क़ीमत कम है मसलन दैन दस रुपये है और बकरी पाँच ही की है तो खाल छः रुपये में रहन है मगर खाल तलफ़ होजाये तो चूंकि वह एक रुपये की है एक साक़ित होगा और पाँच रुपये राहिन से वसूल करेगा और अगर खाल को ऐसी चीज़ से पकाया है जिसकी कोई क़ीमत है तो मुरतहिन को इस खाल के रोकने का हक़ हासिल है कि जो कुछ दबाग़त से ज़्यादती हुई है उसे जब तक वसूल न करे राहिन को देने से इनकार कर सकता है(दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.2:– मरहून में जो कुछ ज़्यादती हुई मसलन जानवर रहन था उसके बच्चा पैदा हुआ भेड़, दुम्बा की ऊन दरख़्त के फल, जानवर का दूध यह सब चीज़ें राहिन की मिल्क हैं और यह चीज़ें भी रहन में दाख़िल हैं यानी जब तक दैन अदा न करले राहिन उन चीज़ों को मुरतहिन से नहीं ले सकता फिर यह चीज़ें फ़क्के रहन तक (रहन के आज़ाद होने तक) बाक़ी रह जायें तो दैन को अस्ल और उस ज़्यादती की क़ीमत पर तक़सीम किया जायेगा और यह चीज़ें पहले ही हलाक होजायें तो उनके मुक़ाबिल में दैन साक़ित नहीं होगा। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.3:– मरहून के मुनाफ़ेअ् मसलन मकाने मरहून की उजरत यह भी राहिन की हैं और यह

रहन में दाख़िल नहीं अगर हलाक होजाये तो उसके मुक़ाबिल में दैन का कोई जुज़ साक़ित नहीं होगा।(दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.4:– मरहून से जो चीज़ें पैदा हुईं मस्लन बच्चा, दूध, फल वग़ैरा यह अगर्चे रहन में दाख़िल हैं मगर फ़क्के रहन से क़ब्ल हलाक होजायें तो दैन का कोई हिस्सा उसके मुक़ाबिल में साक़ित नहीं होगा। और अगर ख़ुद रहन हलाक होगया मगर यह पैदावार बाक़ी है तो इस के मुक़ाबिल जितना हिस्सा दैन पड़े उसको अदा करके राहिन उसको हासिल कर सकता है मुफ़्त नहीं ले सकता यानी अस्ल रहन की जो कुछ क़ीमत रहन रखने के दिन थी और इसकी जो क़ीमत फ़क्के रहन के दिन है दोनों पर दैन को तक़सीम किया जाये अस्ल के मुक़ाबिल में जो हिस्सा आये वह साक़ित और उसके मुक़ाबिल में जितना हिस्सा हो अदा करके फ़क्के रहन कराले मस्लन दस रुपये दैन हैं और मरहून भी दस रुपये की चीज़ है और उसका बच्चा पाँच रुपये का है और मरहून हलाक होगया तो दो तिहाई दैन साक़ित होगया एक तिहाई बाक़ी है। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.5:– राहिन ने मुरतहिन को ज़वाइद के खा लेने की इजाज़त देदी मस्लन कहदिया कि बकरी का दूध दुहकर पी लेना तुम्हारे लिए हलाल है या दरख़्त के फल खा लेना मुरतहिन ने खालिये इस सूरत में मुरतहिन पर ज़मान नहीं कि मालिक की इजाज़त से चीज़ खाई है और दैन भी उसके मुक़ाबिल में कुछ साक़ित नहीं और इस सूरत में कि मुरतहिन ने ज़वाइद को खालिया और राहिन ने फ़क्के रहन नहीं कराया और यह रहन हलाक होगया तो दैन को अस्ल रहन और उन ज़वाइद पर तक़सीम किया जायेगा जो कुछ अस्ल के मुक़ाबिल है वह साक़ित और जो कुछ ज़वाइद के मुक़ाबिल है राहिन से वसूल करे कि उसके हुक्म से उसका खाना गोया ख़ुद उसी का खा लेना है लिहाज़ा राहिन मुआवज़ा दे। (हिदाया)
मसअ्ला.6:– बाग़ रहन रखा और मुरतहिन ने क़ब्ज़ा कर लिया फिर राहिन को देदिया कि दरख़्तों को पानी दे और बाग़ की निगेहदाश्त करे इससे रहन बातिल नहीं हुआ। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.7:– बाग़ रहन रखा और मुरतहिन को फल खाने की इजाज़त देदी उसके बाद राहिन ने ब'इजाज़ते मुरतहिन बाग़ को बैअ् कर दिया इस सूरत में बाग़ की जगह पर उसका समन रहन है और बाग़ में फल अगर बैअ् के बाद पैदा हुए तो मुश्तरी के हैं यानी जब कि राहिन ने दैन अदा कर दिया हो और अगर अदा न किया हो तो जिस तरह बाग़ का समन रहन है यह फल भी रहन हैं यानी इस सूरत में मुरतहिन फल को नहीं खा सकता कि राहिन ने अगर्चे फल खाने की इजाज़त देदी थी मगर बाग़ को जब बैअ् कर डाला तो इबाहत जाती रही। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.8:– ज़मीन रहन रखी और मुरतहिन के लिए उसके मुनाफ़ेअ् को मुबाह करदे मुरतहिन ने ज़मीन में काश्त की इस सूरत में मुरतहिन के ज़िम्मे काश्त के मुक़ाबिल में कुछ देना नहीं और बिग़ैर इजाज़ते राहिन मुरतहिन ने काश्त की हो तो ज़मीन में जो कुछ नुक़सान पैदा हुआ हो उसका ज़मान देना होगा। (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.9:– ज़मीन रहन रखी राहिन ने ब'इजाज़ते मुरतहिन उसमें काश्त की या दरख़्त लगाये उस से रहन बातिल नहीं हुआ मुरतहिन जब चाहे वापस ले सकता है और राहिन के क़ब्ज़े में जब तक चीज़ है मुरतहिन के ज़मान में नहीं यानी हलाक होने से दैन साक़ित नहीं होगा(दुर्रेमुख़्तार,रद्दुलमुहतार)
मसअ्ला.10:– मरहून चीज़ पर इस्तेहक़ाक़ हुआ यानी किसी शख़्स ने अपनी मिल्क साबित करके चीज़ लेली मुरतहिन राहिन को इस पर मजबूर नहीं कर सकता कि उसकी जगह पर दूसरी चीज़ रहन रखे और अगर मरहून के जुज़ में इस्तेहक़ाक़ (हक़ साबित होना) हुआ तो इसकी दो सूरतें हैं। जुज़ व शाइअ् का इस्तेहक़ाक़ हो मस्लन निस्फ़ या रुब्अ् (आधा या चौथाई) तो इस्तेहक़ाक़ के बाद जो हिस्सा बाक़ी है उसमें भी रहन बातिल है और इतना ही हिस्सा पूरे दैन के मुक़ाबिल में मरहून रहे मगर यह चीज़ हलाक होजायेगी तो अगर्चे पूरे दैन की क़ीमत की बराबर हो पूरा दैन साक़ित नहीं होगा बल्कि दैन का इतना ही जुज़ साक़ित होगा जो इसके मुक़ाबिल में पड़े। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.11:– मकान किराये पर दिया फिर उसी मकान को किराये'दार के पास रहन रखा यह रहन सहीह है और इजारा बातिल होगया यानी जब कि रहन के लिये मुरतहिन का क़ब्ज़ा–ए–जदीद हो क्योंकि पहला क़ब्ज़ा उस क़ब्ज़े के क़ाइम मक़ाम नहीं। (दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.12:– रहन में ज़्यादती जाइज़ है यानी मस्लन किसी ने क़र्ज़ लिया और उसके पास एक चीज़ रहन रखदी उसके बाद राहिन ने दूसरी चीज़ भी उसी क़र्ज़ के मुक़ाबिल में रहन रखी यह दोनों चीज़ें रहन होगईं यानी जब तक क़र्ज़ अदा न करे दोनों में से किसी को नहीं ले सकता। और उनमें से एक हलाक होगई तो अगर्चे उसकी क़ीमत दैन के बराबर हो पूरा दैन साक़ित नहीं होगा बल्कि दैन को दोनों पर तक़सीम किया जाये जितना उसके मुक़ाबिल हो सिर्फ़ वही साक़ित होगा और यह दूसरी चीज़ जो बाद में रहन रखी क़ब्ज़े के दिन जो उसकी क़ीमत थी उसका एअ्तिबार होगा जिस तरह पहली की क़ीमत में भी क़ब्ज़े ही के दिन का एअ्तिबार था यानी हलाक होने की सूरत में उन्हीं क़ीमतों पर दैन की तक़सीम होगी मस्लन हज़ार रुपये क़र्ज़ लिये और एक चीज़ रहन रखी जिसकी क़ीमत हज़ार रुपये है फिर दूसरी चीज़ रहन रखी जिसकी क़ीमत पाँच सौ रुपये है और एक हलाक होगई तो दैन के तीन हिस्से किये जायें दो हिस्से पहली के मुक़ाबिल में और एक हिस्सा दूसरी के मुक़ाबिल में। (हिदाया)

मसअ्ला.13:– दैन के मुक़ाबिल में कोई चीज़ रहन रखी फिर दैन का कुछ हिस्सा अदा करदिया कुछ बाक़ी है अब'रहन में ज़्यादती की यानी दूसरी चीज़ भी रहन रखदी इस ज़्यादती का तअ़ल्लुक़ पूरे दैन से नहीं बल्कि जो बाक़ी है उसी से है यानी हलाक होने की सूरत में दैन के सिर्फ़ उतने ही हिस्से को दोनों पर तक़सीम करेंगे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.14:– दैन में ज़्यादती ना'जाइज़ है यानी दैन के मुक़ाबिल में कोई चीज़ रहन रखदी उसके बाद राहिन यह चाहे कि फिर क़र्ज़ लूँ और उस क़र्ज़ के मुक़ाबिल में भी वही चीज़ रहन रहे यह नहीं हो सकता यानी अगर वह चीज़ हलाक होगई तो दूसरे दैन पर उसका असर नहीं पड़ेगा यह साक़ित नहीं होगा और पहला दैन अदा करदिया दूसरा बाक़ी है तो मुरतहिन उस चीज़ को रोक नहीं सकता कि दूसरे दैन से रहन को तअ़ल्लुक़ नहीं। (हिदाया)

मसअ्ला.15:– हज़ार रुपये में दो गुलाम रहन रखे फिर मुरतहिन से कहा कि मुझे एक की ज़रूरत है वापस देदो उसने एक गुलाम वापस कर दिया यह दूसरा जो बाक़ी है या पाँच सौ के मुक़ाबिल में रहन है यानी अगर हलाक हो तो सिर्फ़ पाँचसौ साक़ित होंगे अगर्चे उसकी क़ीमत एक हज़ार हो मगर राहिन उस वक़्त फ़क्के रहन करा सकता है जब पूरे हज़ार अदा करदे। (रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.16:– हज़ार रुपये के मुक़ाबिल में गुलाम को रहन रखा उसके बाद राहिन ने मुरतहिन को एक दूसरा गुलाम दिया कि उसकी जगह पर इसे रहन रखलो तो जब तक मुरतहिन पहले गुलाम को वापस न देदे वह रहन से ख़ारिज नहीं होगा और दूसरा गुलाम मुरतहिन के पास बतौर अमानत है जब पहला गुलाम वापस करदे अब यह दूसरा गुलाम रहन होजायेगा और मुरतहिन के ज़मान में आजायेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.17:– मुरतहिन ने राहिन से दैन मुआफ़ करदिया या हिबा करदिया और अभी मरहून को वापस नहीं किया है और मरहून हलाक होगया तो मुरतहिन से उसका कोई मुआवज़ा नहीं मिलेगा हाँ अगर राहिन ने मुरतहिन से मुआफ़ी या हिबा के बाद मरहून को मांगा और उसने नहीं दिया उस के बाद हलाक हुआ तो मुरतहनि के ज़िम्मे तावान है कि रोकने से ग़ासिब होगया और अगर मुरतहिन ने दैन वसूल पाया राहिन ने उसे दिया हो या किसी दूसरे ने बतौर तबर्रोअ़ दैन अदा करदिया या मुरतहिन ने राहिन से दैन के एवज़ में कोई चीज़ ख़रीदली या राहिन से किसी चीज़ पर मुसालहत की या राहिन ने दैन का किसी दूसरे शख़्स पर हवाला करदिया और उन सूरतों में मरहून मुरतहिन के पास हलाक होगया तो दैन के मुक़ाबिल में हलाक होगा यानी दैन साक़ित हो

जायेगा और जो कुछ राहिन ने मुतबर्रेअ् से वसूल पाया है उसे वापस करे और हवाला वाली सूरत में हवाला बातिल होगया। (हिदाया, दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.18:– यह समझकर कि फ़ुलाँ का मेरे ज़िम्मे दैन है एक चीज़ रहन रखदी उसके बाद राहिन व मुरतहनि ने इस पर इत्तिफ़ाक़ किया कि दैन था ही नहीं और मरहून हलाक होगया तो दैन के मुक़ाबिल में हलाक हुआ यानी मुरतहिन राहिन को इतनी रक़म अदा करे जिस के मुक़ाबिल हलाक हुआ यानी मुरतहिन राहिन को इतनी रक़म अदा करे जिस के मुक़ाबिल में रहन रखा गया (हिदाया) और बाज़ अइम्मा यह फ़रमाते हैं कि यह उस सूरत में है कि मरहून के हलाक होने के बाद दोनों ने दैन न होने पर इत्तिफ़ाक़ किया हो और अगर इत्तिफ़ाक़ करने के बाद हलाक हो तो ज़मान नहीं कि अब वह चीज़ मुरतहिन के पास अमानत है मगर साहिबे हिदाया के नज़्दीक दोनों सूरतों का एक हुक्म है।

मसअ्ला.19:– औरत के पास शौहर ने महर के मुक़ाबिल में कोई चीज़ रहन रखदी फिर औरत ने महर मुआफ़ करदिया या शौहर को हिबा करदिया या महर के मुक़ाबिल में शौहर से ख़ुलअ् कराया, उन सबके बाद वह मरहून चीज़ औरत के पास हलाक होगई तो उसके मुक़ाबिल में औरत से कोई मुआवजा नहीं ले सकता। (हिदाया)

मसअ्ला.20:– एक शख़्स ने दूसरे का महर बतौर तबर्रोअ् अदा करदिया फिर शौहर ने औरत को क़ब्ले दुख़ूल तलाक़ देदी तो वह शख़्स औरत से निस्फ़ महर वापस ले सकता है क्योंकि दुख़ूल से क़ब्ल तलाक़ होने में औरत आधे महर की मुस्तहक़ होती है। इसी तरह एक शख़्स ने कोई चीज़ ख़रीदी दूसरे ने बतौर तबर्रोअ् उसका समन बाइअ् को देदिया फिर मुश्तरी ने ऐब की वजह से मबीअ् को वापस कर दिया तो समन उसको मिलेगा जिसने दिया है मुश्तरी को नहीं मिलेगा। (ज़ैलई)

मसअ्ला.21:– रहन फ़ासिद के वही अहकाम हैं जो रहन सहीह के हैं यानी मसलन राहिन ने अक़्दे रहन को तोड़ दिया और यह चाहे कि मरहून को वापस लेले तो जब तक वह चीज़ अदा न करदे जिसके मुक़ाबिल में रहन रखा है मरहून को वापस नहीं ले सकता या राहिन मरगया और उसके ज़िम्मे दूसरों के भी दैन हैं वह लोग यह चाहें कि मरहून से हम भी ब'हिस्साए रसद वसूल करें ऐसा नहीं कर सकते। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.22:– मरहून चीज़ माल हो और जिसके मुक़ाबिल में रहन रखा हो वह मज़मून हो यानी उसका ज़मान वाजिब हो मगर जवाज़े रहन के शराइत में कोई शर्त मअ्दूम हो मसलन मुशाअ् को रहन रखा इस सूरत में रहन फ़ासिद है और अगर मरहून माल ही न हो या जिसके मुक़ाबिल में रखा हो उसका ज़मान वाजिब न होता हो तो यह रहन बातिल है रहन बातिल में मरहून हलाक हो जाये तो वह अमानत थी जो ज़ाइअ होगई उसका कुछ मुआवज़ा राहिन को नहीं मिलेगा। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.23:– गुलाम ख़रीदा और उस पर क़ब्ज़ा भी करलिया और समन के मुक़ाबिल में बाइअ् के पास कोई चीज़ रहन रखदी और यह चीज़ मुरतहिन के पास हलाक होगई उसके बाद मालूम हुआ कि वह गुलाम न था बल्कि हुर (आज़ाद) था या बाइअ् का न था किसी और का था जिसने ले लिया तो मुरतहिन को ज़मान देना होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.24:– बैअ् सलम में मुसलम फ़ी (मबीअ्) के मुक़ाबिल में रब्बुस्सलम (ख़रीदार) के पास कोई चीज़ रहन रखी उसके बाद दोनों ने बैअ् सलम को फ़स्ख़ करदिया तो अब यह चीज़ रासुल'माल के मुक़ाबिल में रहन है यानी रब्बुस्सलम जब तक रासुल'माल वसूल न करले उस चीज़ को रोक सकता है मगर यह मरहून अगर हलाक होजाये तो मुसलम फ़ी के मुक़ाबिल में उसका हलाक होना मुतसव्वर होगा कि हक़ीक़तन उसी के मुक़ाबिल में रहन है जो यूंही अगर बैअ् में समन के मुक़ाबिल में कोई चीज़ रहन रखदी फिर बैअ् का इक़ाला हुआ तो जब तक मबीअ् बाइअ् को वापस न मिले रहन को रोक सकता है मगर मरहून हलाक होजाये तो समन के मुक़ाबिल में हलाक मुतसव्वर होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.25:– एक शख़्स के दूसरे के ज़िम्मे कुछ रुपये थे मदयून ने दाइन के दो कपड़े यह कहकर दिये कि अपने रुपये के एवज़ उनमें से एक कपड़ा लेलो उसने दोनों रख लिये और दोनों ज़ाइअ् होगये तो मदयून के कपड़े ज़ाइअ् हुए दाइन का दैन ब'दस्तूर बाक़ी है जब तक वह एक को अपने रुपये के एवज़ मुतअय्यन न करले यह वैसा ही है कि एक शख़्स पर दूसरे के बीस रुपये बाक़ी हैं मदयून ने उसे सौ रुपये दिये कि उनमें से अपने बीस लेलो उसने कुल रख लिये उनमें से अपने बीस नहीं निकाले और कुल रुपये ज़ाइअ् होगये तो मदयून के ज़ाइअ् हुए दाइन का दैन ब'दस्तूर बाक़ी है और अगर कपड़ा देते वक़्त यह कहे कि उनमें से एक को अपने दैन के मुक़ाबिल में रहन रखलो और उसने दोनों रखलिये फिर दोनों ज़ाइअ् होगये और दोनों एक क़ीमत के हों तो हर एक की निस्फ़ क़ीमत दैन के मुक़ाबिल में होगी। (आलमगीरी)

मसअ्ला.26:– जिस दैन के मुक़ाबिल में चीज़ रहन है जब तक वह पूरा वसूल न होजाये मुरतहिन मरहून को रोक सकता है और मुरतहिन के अगर दीगर दुयून (क़र्ज़े) भी राहिन के ज़िम्मे हों रहन से पहले हों को या बाद के मगर उनके मुक़ाबिल में यह चीज़ रहन न हो तो उन के वसूल करने के लिये रहन को रोक नहीं सकता। (आलमगीरी)

"उसके बाद का बाक़ी मज़मून हिस्सा 18 में मुलाहिज़ा हो"।

मुतर्जिम

मुहम्मद अमीनुलक़ादरी
28फ़रवरी सन्2015
09219132423

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ
(اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا)

किताब को पढ़ने से पहले
इस किताब को स्कैन करने वाले
और इस काम मे हिस्सा लेने वालो के हक़ में

दुआ फरमाएं

अल्लाह अज़्ज़वजल हमारे तमाम
सगीरा व क़बीरा गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाये
और ईमान पर इस्तेक़ामत अता फ़रमाये!

आमीन

PDF BY :
WASEEM AHMED RAZA KHAN
AZHARI & TEAM
+91-8109613336
https://t.me/Ahlesunnat_HindiBooks

बहारे शरीअ़त

सत्रहवां हि़स्सा

मुस़न्निफ़
सदरूश्शरीअ़ा मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा
मौलाना मुह़म्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर
क़ादरी दारूल इशाअ़त
मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली–53
Mob:–9219132423

पेशे लफ़्ज़

यह बहारे शरीअ़त की किताबुलजनायात का वह हिस्सा है जो हज़रत उस्तादुनल'मुकर्रम फ़क़ीहुलअ़स्र सदरुश्शरीआ़ अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती अबुलउ़ला मुहम्मद अमजदी अ़ली साहब रज़वी आज़मी कुद्दिस सिर्रुहुल'अज़ीज़ मुकम्मल न कर सके थे और जिसके मुतअ़ल्लिक़ मुसन्निफ़ अ़लैहिर्रहमा ने''अर्ज़े हाल''में तफ़सील बयान की है और इन अल'फ़ाज़ में वसियत फ़रमाई है कि ''इस का आख़िरी हिस्सा थोड़ासा बाक़ी रह गया है जो ज़्यादा से ज़्यादा तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता अगर तौफ़ीके इलाही सआ़दत करती और बक़िया मज़ामीन भी तहरीर में आ जाते तो फ़िक्ह के जमीअ़ अब्वाब पर यह किताब मुश्तमिल होती और किताब मुकम्मल होजाती और अगर मेरी औलाद, तलामिज़ा या उ़लमा–ए–अहले सुन्नत में से कोई साहिब इसका क़लील हिस्सा जो बाक़ी रह गया है इस की तकमील फ़रमादें तो मेरी ऐन ख़ुशी है''।

अलहम्दु लिल्लाह कि हज़रत मुसन्निफ़ अ़लैहिर्रहमा की वसियत के मुताबिक़ हमने यह सआ़दत हासिल करने की कोशिश की है और इसमें एहतिमाम बिल'इल्तिज़ाम किया है कि मसाइल के मआख़ज़े कुतुब के सफ़हात के नम्बर और जिल्द नम्बर भी लिख दिये हैं ताकि अहले इल्म को मआख़ज़ तलाश करने में आसानी हो अकसर कुतुबे फ़िक्ह के हवाला'जात नक़ल कर दिये हैं जिन पर आज कल फ़तावा का मदार है हज़रत मुसन्निफ़ अ़लैहिर्रहमा के तरज़े तहरीर को हत्तल'इमकान बरक़रार रखने की कोशिश की गई है फ़िक्ही मोशिगाफ़ियों और फ़ुक़्हा के क़ील व क़ाल को छोड़कर सिर्फ़ मुफ़्ता'बिही अक़वाल को सादा और आम फ़हम ज़बान में लिखा गया है ताकि कम तअ़लीम याफ़्ता सुन्नी भाईयों को भी इसके पढ़ने और समझने में दुश्वारी पेश न आये। तस्हीहे किताबत में हत्तल'मक़दूर, दीदा रेज़ी से काम लिया गया है फिर भी अगर कहीं अग़लात रह गई हों तो इसके लिये क़ारेईने किराम से मअ़ज़रत ख़्वाह हैं आख़िर में मुहिब्बे मुकर्रम हज़रत अ़ल्लामा अ़ब्दुल'मुस्तफ़ा अलअज़हरी मद्द'ज़िल्लहुल आ़ली शैख़ुल'हदीस दारुल उ़लूम अमजदिया व मिम्बर क़ौमी असेम्बली पाकिस्तान व अ़ज़ीज़े मुकर्रम मौलाना हाफ़िज़ क़ारी रज़ाउलमुस्तफ़ा साहिब आज़मी सल्लमहू ख़तीबे न्यूमोमिन मस्जिद बोल्टन मार्केट करॉची के शुक्रगुज़ार हैं कि उन हज़रात ने अपने वालिद माजिद हज़रत मुसन्निफ़ अ़लैहिर्रहमा की वसियत की तकमील के लिये हमारा इन्तिख़ाब फ़रमाया। हम अपनी हक़ीर ख़िदमत को हज़रत सदरुश्शरीआ़ बदरुत्तरीक़ा उस्ताज़ोनल'अ़ल्लाम अबुलउ़ला मुहम्मद अमजदी अ़ली साहब रज़वी कुद्दिस सिर्रुहुल'अज़ीज़ मुसन्निफ़ **''बहारे शरीअ़त''** की बारगाह में बतौर नज़रानाए अक़ीदत पेश करते हैं और इसका सवाब व अज्र उनकी रुह पुर फ़ुतूह को ईसाल करते हैं और बारगाहे इज़्द व मुतआल में दस्त ब'दुआ हैं कि इस किताब के बक़िया दो हिस्सों की तकमील व तस्नीफ़ की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाये। आमीन

मुहम्मद वक़ारुद्दीन क़ादिरी रज़वी बरेलवी ग़ुफ़िर'लहू
नाइब शैख़ुलहदीस दारुलउ़लूम अमजदिया
आ़लमगीरी रोड करांची –5

फ़कीर
महबूब रज़ा ग़ुफ़िर'लहू
मुफ़्ती दारुलउ़लूम अमजदिया कराची,
यकुम जनवरी 1977ई

हिन्दी अनुवाद
मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी
मो0:–09219132423

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم

वसियत

फ़कीहे आज़म हिन्द हजरत सदरुश्शरीआ अलैहिर्रहमा

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

हामिदन लिवलिय्येही व मुसल्लियन व मुसलिमन अला हबीबिही व अला आलिही व सहबिही अजमईन अम्मा बाद फ़कीर पुर तक़सीर अबुलउला मुहम्मद अमजद अली आज़मी उफ़िय अन्हु मुतवत्तिन घोसी, मोहल्ला करीमुद्दीन पुर, ज़िला आज़मगढ़ अर्ज़ परदाज़ है कि ज़रुरते ज़माना ने इस तरफ़ तवज्जोह दिलाई कि मसाइले फ़िक़्हिया सहीहा व रजीहा का एक मजमूआ उर्दू ज़बान में बिरादराने इस्लाम की ख़िदमत में पेश किया जाये इस तरह पर कि हमारे अवाम भाई उर्दू ख़्वाँ भी मुन्तफ़ेअ (फ़ायदा उठा सकें) हो सकें और अपनी ज़रूरतियात में इस से काम लेसकें उर्दू ज़बान में अब तक कोई ऐसी किताब तस्नीफ़ नहीं हुई थी जो सहीह मसाइल पर मुश्तमिल हो और ज़रुरियात के लिये काफ़ी व वाफ़ी हो फ़कीर ब'वजहे कस्रते मशाग़िले दीनिया इतनी फ़ुरसत नहीं पाता था कि इस काम को पूरे तौर पर अन्जाम देसके मगर हालाते ज़माना ने मजबूर किया और इसके लिये थोड़ी फ़ुरसत निकालनी पड़ी जब कभी फ़ुरसत हाथ आजाती इस काम को क़द्रे अन्जाम दे लेता तदरीस की मश्ग़ूलियत और इफ़्ता वग़ैरा चन्द दीनी काम ऐसे अन्जाम देने पड़ते जिनकी वजह से तस्नीफ़े किताब के लिये फ़ुरसत न मिलती मगर अल्लाह पर तवक्कुल करके जब यह काम शुरुअ़ करदिया गया तो बुज़ुर्गाने किराम और मशाइख़े इज़ाम और असातिज़ा अअ़लाम की दुआओं की बरकत से एक हद तक इसमें कामयाबी हासिल हुई इस किताब का नाम **"बहारे शरीअ़त"** रखा जिसके बि'फ़ज़्लिहि तआला सत्रह हिस्से मुकम्मल होचुके और बिहम्दिही तआला यह किताब मुसलमानों में हद दर्जा मक़बूल हुई अवाम तो अवाम अहले इल्म के लिये भी निहायत कारआमद साबित हुई इस किताब की तस्नीफ़ में उमूमन यही हुआ है कि माहे रमज़ान मुबारक की तअ़तीलात में जो कुछ दूसरे कामों से वक़्त बचता इसमें कुछ लिख लिया जाता यहाँ तक कि जब 1939ई की जंग शुरुअ़ हुई और काग़ज़ का मिलना निहायत मुश्किल होगया और इसकी तबअ़ (छापने) में दुश्वारियाँ पेश आगईं तो इसकी तस्नीफ़ का सिल्सिला भी जो कुछ था वह भी जाता रहा और यह किताब उस हद तक पूरी न होसकी जिसका फ़कीर ने इरादा किया था बल्कि अपना इरादा तो यह था कि इस किताब की तकमील के बाद इसी नहज पर एक दूसरी किताब और भी लिखी जायेगी जो तसव्वुफ़ और सुलूक के मसाइल पर मुश्तमिल होगी जिसका इज़हार इस से पेश्तर नहीं किया गया था होता वही है जो ख़ुदा चाहता है चन्द साल के अन्दर मुतअ़द्दिद हवादिसे पैहम ऐसे दर'पेश हुए जिन्होंने इस क़ाबिल भी मुझे बाक़ी न रखा कि **"बहारे शरीअ़त"** की तस्नीफ़ को हद्दे तकमील तक पहुँचाता 7 शअ़बान 1358 हिजरी को मेरी एक जवान लड़की का इन्तिक़ाल हुआ और 25 रबीउ़ल'अव्वल 1359हिजरी को मेरा मन्झला लड़का मौलवी मुहम्मद यहया मरहूम का इन्तिक़ाल हुआ शब दहम रमज़ानुल'मुबारक 1359हिजरी को बड़े लड़के मौलवी हकीम शम्सुलहुदा ने रेहलत की।

20रमज़ानुल'मुबारक 1362हिजरी को मेरा चौथा लड़का अताउलमुस्तफ़ा का दादों ज़िला अलीगढ़ में इन्तिक़ाल हुआ और उसी दौरान में मौलवी शमसुलहुदा मरहूम की तीन जवान लड़लियों का और उनकी अहलिया का और मौलवी मुहम्मद यहया मरहूम के एक लड़के का और मौलवी अताउल मुस्तफ़ा मरहूम की अहलिया और बच्ची का इन्तिक़ाल हुआ इन पैहम हवादिस ने क़ल्ब व दिमाग़ पर काफ़ी अस्र डाला यहाँ तक कि मौलवी अताउलमुस्तफ़ा मरहूम के सोम के रोज़ जब कि फ़कीर तिलावते कुर्आन मजीद कर रहा था आँखों के सामने अन्धेरा मालूम होने लगा और इसमें बराबर

तरक्की होती रही और नज़र की कमज़ोरी अब इस हद्द तक पहुँच चुकी है कि लिखने पढ़ने से मअ़ज़ूर हूँ। ऐसी हालत में **"बहारे शरीअ़त"** की तकमील मेरे लिये बिल्कुल दुश्वार होगई और मैंने अपनी इस तस्नीफ़ को इस हद्द पर ख़त्म कर दिया गोया अब इस किताब को कामिल व अकमल भी कहा जा सकता है मगर अभी इसका आख़िरी थोड़ा हिस्सा बाक़ी रहगया है जो ज़्यादा से ज़्यादा तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता अगर तौफ़ीके इलाही सआदत करती और बक़िया मज़ामीन भी तहरीर में आ जाते तो फ़िक़्ह के जमीअ़ अब्वाब पर यह किताब मुश्तमिल होती और किताब मुकम्मल होजाती और अगर मेरी औलाद या तलामिज़ा या उ़लमाए अहले सुन्नत में से कोई साहिब इस का क़लील हिस्सा जो बाक़ी रह गया है इस की तकमील फ़रमायें तो मेरी ख़ुशी है मुहर्रम 1362हिजरी में फ़क़ीर ने चन्द तलबा ख़ुसूसन अ़ज़ीज़ी मौलवी मुबीनुद्दीन साहिब अमरोहवी व अ़ज़ीज़ी मौलवी सय्यद ज़हीर अहमद साहिब नगीनावी व हबीबी मौलवी हाफ़िज़ क़ारी महबूब रज़ा साहिब बरेलवी व अ़ज़ीज़ी मौलवी मुहम्मद ख़लील मारहरवी के इसरार पर शरह मआनियुलआसार मअ़रुफ़ ब'तहावी शरीफ़ का तहशिया शुरुअ़ किया था कि यह किताब निहायत मअ़रकतुलआरा हदीस व फ़िक़्ह की जामेअ़ हवाशी से ख़ाली थी। उस्ताज़ोनलमोअ़ज़्ज़म हज़रत मौलाना वसी अहमद साहब मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैहि ने इस किताब पर कहीं कहीं कुछ तअ़लीक़ात तहरीर फ़रमाई हैं जो बिल्कुल तलबा के लिये काफ़ी हैं मुकम्मल व मुफ़स्सल हाशिया की अशद ज़रूरत थी इस तहशिया का काम सन् मज़कूरा में तक़रीबन सात माह तक किया मगर मौलवी अ़ताउलमुस्तफ़ा की अ़लालते शदीदा फिर उनके इन्तिक़ाल ने इस काम का सिल्सिला बन्द करने पर मजबूर किया जिल्दे अव्वल का निस्फ़ बिफज़्लिही तआ़ला मुहश्शा हो चुका है जिसके सफ़हात की तअ़दाद बारीक क़लम से 450 हैं और हर सफ़हा 35 या 36 सत्र पर मुश्तमिल है अगर कोई साहब इस काम को भी आख़िर तक पहुँचायें तो मेरी ऐन ख़ुशी है ख़सूसन अगर मेरे तलामिज़ा में से किसी को ऐसी तौफ़ीक़ नसीब हो और इस किताब के तहशिया की ख़िदमत अन्जाम दें तो उनकी ऐन सआदत और मेरी क़ल्बी मसर्रत की बाइस होगी।

सबसे आख़िर में उन तमाम हज़रात से जो इस किताब से फ़ायदा हासिल करें फ़क़ीर की इल्तिजा है कि वह समीमे क़ल्ब से इस फ़क़ीर के लिए हुस्ने ख़ातिमा और मग़फ़िरते ज़ुनूब की दुआ करें मौला तबारक व तआ़ला उनको और इस फ़क़ीर को सिराते मुस्तक़ीम पर क़ाइम रखे और इत्तिबाअ़े नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाये। अमीन!

والحمد للّٰہ ربّ العٰلمیٖن و صلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیرِ خلقہٖ و قاسم رزقہٖ سید نا و مولانا محمد و الہٖ واصحابہ اجمعین برحمتك یا ارحم الرّٰحمین.و اخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.

فقیر

امجد علی عفی عنہ

قادری منزل بڑا گاؤں گھوسی اعظم گڑھ یوپی-

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمدهٗ و نصلي علىٰ رسوله الكريم ط

जनायात का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

﴿يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى ط اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ط فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَ اَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ط ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (پ ٢ ع ٦)﴾

तर्जमा:– "ऐ ईमान वालो क़िसास यानी जो नाहक़ क़त्ल किये गये उनका बदला लेना तुम पर फ़र्ज़ किया गया आज़ाद के बदले आज़ाद, गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत तो जिसके लिये उसके भाई की तरफ़ से कुछ मुआफ़ी हो तो भलाई से तक़ाज़ा करे और अच्छी तरह से उसको अदा करदे यह तुम्हारे रब की जानिब से तुम्हारे लिये आसानी है और तुम पर मेहरबानी है अब इसके बाद जो ज़्यादती करे उसके लिए दर्दनाक अ़ज़ाब है और तुम्हारे लिये ख़ून का बदला लेने में ज़िन्दगी है ऐ अ़क्ल वालो ताकि तुम बचो"।

और फ़रमाता है।

﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۙ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ۙ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ط فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ط وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ﴾

तर्जमा:– "और हम ने तौरैत में उन पर वाजिब किया कि जान के बदले जान और आँख के बदले आँख और नाक के बदले नाक और कान के बदले कान और दांत के बदले दाँत और ज़ख़्मों में बदला है फिर जो मुआफ़ करदे तो वह इस के गुनाह का कफ़्फ़ारा है और जो अल्लाह के नाज़िल किये हुए पर हुक्म न करे वही लोग ज़ालिम हैं"।

हदीस (1) इमाम बुख़ारी अपनी सहीह में इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत करते हैं उन्होंने फ़रमाया कि बनी इस्राईल में क़िसास का हुक्म था और उनमें दियत न थी तो अल्लाह तआ़ला ने इस उम्मत के लिये फ़रमाया كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى (الاية) इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा फ़रमाते हैं अ़फ़्व (मुआफ़ करना) यह है कि क़त्ले अ़मद में दियत क़बूल करे और इत्तिबाए बिल्मअ़रूफ़ यह है कि भलाई से तलब करे और क़ातिल अच्छी तरह अदा करे।

और फ़रमाता है।

﴿مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ط وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ط (پ ٦ ع ٨)﴾

"इसी सबब से हमने बनी इस्राईल पर लिख दिया कि जिसने कोई जान क़त्ल की बिग़ैर जान के बदले या ज़मीन में फ़साद किये तो गोया उसने सब लोगों को क़त्ल किया और जिसने एक जान को ज़िन्दा रखा तो गोया उसने सब इन्सानों को ज़िन्दा रखा और फ़रमाता है"।

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ط فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ط وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ ۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا (پ ٥ ع ٩)﴾

तर्जमा:–"और मुसलमान को नहीं पहुँचता कि मुसलमान का ख़ून करे मगर ग़लती के तौर पर और जो किसी मुसलमान को ना'दानिस्ता क़त्ल करे तो उसपर एक गुलाम मुस्लिम का आज़ाद करना है और ख़ून बहा कि मक़तूल के लोगों को दिया जाये मगर यह कि वह मुआफ़ करदें। फिर वह अगर उस क़ौम से है जो तुम्हारी दुश्मन है और वह ख़ुद मुसलमान है तो सिर्फ़ एक मम्लूक मुसलमान का आज़ाद करना है और अगर वह उस क़ौम में हो कि तुममें और उनमें मुआहिदा है तो उसके लोगों को 'ख़ूनबहा' सिपुर्द किया जाये और एक मुसलमान मम्लूक को आज़ाद किया जाये। फिर जो न पाये वह लगातार दो महीने के रोज़े रखे यह अल्लाह से उसकी तौबा है अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है और जो कोई मुसलमान को जान बूझ कर क़त्ल करे तो उसका बदला जहन्नम है कि उस में मुद्दतों रहे और अल्लाह ने उस पर ग़ज़ब फ़रमाया और उस पर लअ़नत की और उस पर बड़ा अ़ज़ाब तैयार कर रखा है"।

हदीस (1) इमाम बुख़ारी व मुस्लिम ने सहीहैन में अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊ़द रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु

से रिवायत की है कहते हैं कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "किसी मुसलमान मर्द का जो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवही और मेरी रिसालत की शहादत देता है ख़ून सिर्फ़ तीन सूरतों में से किसी एक सूरत में ह़लाल है। नफ़्स के बदले में नफ़्स, सय्यिब ज़ानी (शादी शुदा ज़ानी) और अपने मज़हब से निकल कर जमाअ़ते अहले इस्लाम को छोड़दे।

ह़दीस् (2) इमाम बुख़ारी अपनी स़ह़ीह़ में इब्ने उ़मर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "मुसलमान अपने दीन के सबब कुशादगी में रहता है जब तक कोई ह़राम ख़ून न करले"।

ह़दीस् (3) स़ह़ीहैन में अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊ़द रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "क़ियामत के दिन सबसे पहले ख़ूने नाह़क़ के बारे में लोगों के दरम्यान फ़ैस़ला किया जायेगा"।

ह़दीस् (4) इमाम बुख़ारी अपनी स़ह़ीह़ में अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जिसने किसी मुआहिद (ज़िम्मी) को क़त्ल किया वह जन्नत की ख़ुश्बू न सूंघेगा और बेशक जन्नत की ख़ुश्बू चालीस बरस की मुसाफ़त तक पहुँचती है"।

ह़दीस् (5,6) इमाम तिर्मिज़ी और निसाई अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़म्र रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से और इब्ने माजा बर्राअ् बिन आ़ज़िब रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वल्लम ने फ़रमाया "बेशक दुनिया का ज़वाल अल्लाह तआ़ला पर आसान है एक मर्द मुस्लिम के क़त्ल से"।

ह़दीस् (7,8) इमाम तिर्मिज़ी अबू सई़द और अबूहैरेरा रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत करते हैं कि अगर आसमान व ज़मीन वाले एक मर्द मोमिन के ख़ून में शरीक होजायें तो सब को अल्लाह तआ़ला जहन्नम में औंधा करके डालदेगा।

ह़दीस् (9) इमाम मालिक ने सई़द इब्ने मुसय्यब रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि उ़मर इब्ने ख़त्ताब रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने पाँच या सात नफ़र (आदमियों को) को एक शख़्स को धोका देकर क़त्ल करने की वजह से क़त्ल कर दिया और फ़रमाया कि अगर सन्आ़ (यमन का दारुल हुकूमत) के सब लोग इस ख़ून में शरीक होते तो मैं सब को क़त्ल कर देता इमाम बुख़ारी ने अपनी स़ह़ीह़ में उसी के मिस्ल इब्ने उ़मर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की है।

ह़दीस् (10) दारे क़ुत़नी ह़ज़रत उ़मर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जब एक मर्द दूसरे को पकड़ले और कोई और आकर क़त्ल करदे तो क़ातिल क़त्ल कर दिया जायेगा और पकड़ने वाले को क़ैद किया जायेगा"।

ह़दीस् (11) इमाम तिर्मिज़ी व इमाम शाफ़ेई ह़ज़रत अबी शरीह़ कअ़्बी रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रामाया "फिर तुमने ऐ क़बीलाए ख़ुज़ाआ़ हुज़ैल (अ़रब का एक क़बीला) के आदमी को क़त्ल कर दिया अब मैं उसकी दियत ख़ुद देता हूँ। इसके बा़द जो कोई किसी को क़त्ल करे तो मक़तूल के घर वाले दो चीज़ों में से एक चीज़ इख़्तियार करें अगर पसन्द करें तो क़त्ल करें और अगर वह चाहें तो ख़ूं बहा लें।

ह़दीस् (12) स़ह़ीहैन में अनस रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी कि ह़ज़रत रबीअ़् ने जो अनस इब्ने मालिक की फूफी थीं एक अन्सा़रिया औ़रत के दांत तोड़ दिये तो वह लोग नबी स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के पास हा़ज़िर हुए हुज़ूर ने क़िसा़स् का हुक्म फ़रमाया ह़ज़रत अनस के चचा अनस बिनिन्नस़्र ने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम क़सम अल्लाह की उनके दांत नहीं तोड़े जायेंगे तो रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "ऐ अनस! अल्लाह का हुक्म क़िसा़स् का है उसके बा़द वह लोग राज़ी होगये और उन्होंने दियत क़बूल करली रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह के बा़ज़ बन्दे ऐसे हैं

कि अगर अल्लाह पर क़सम खायें तो अल्लाह तआला उनकी क़सम को पूरा कर देता है"।

हदीस् (13) इमाम बुख़ारी अपनी सहीह में अबू जुहैफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु से कहते हैं कि मैंने हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहु से पूछा क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कुर्आन में नहीं तो उन्होंने फ़रमाया क़सम उस ज़ात की जिसने दाने को फाड़ा और रूह को पैदा फ़रमाया, हमारे पास वही है जो कुर्आन में है मगर अल्लाह ने जो कुर्आन की समझ किसी को देदी और हमारे पास वही है जो इस सहीफ़ा में है "मैंने कहा ' इस सहीफ़ा में क्या है? तो फ़रमाया दियत और उसके अहकाम और क़ैदी को छुड़ाना और यह कि कोई मुस्लिम किसी काफ़िर (हर्बी) के बदले में क़त्ल न किया जाये।

हदीस् (14) अबूदाऊद व निसाई हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से और इब्ने माजा इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "मुसलमानों के ख़ून बराबर हैं और उनके अदना के ज़िम्मे को पूरा किया जायेगा और जो दूर वालों ने ग़नीमत हासिल की हो वह सब लश्करियों को मिलेगी और वह दूसरे लोगों के मुक़ाबिले में एक हैं। ख़बरदार कोई मुसलमान किसी काफ़िर (हर्बी) के बदले क़त्ल न किया जाये और न कोई ज़िम्मी जब तक वह ज़िम्मे में बाक़ी है"।

हदीस् (15) तिर्मिज़ी और दारमी इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "हदें मस्जिद में क़ाइम न की जायें और अगर बाप ने अपनी औलाद को क़त्ल किया हो तो बाप से क़िसास नहीं लिया जायेगा"।

हदीस् (16) तिर्मिज़ी सुराक़ा बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ,हुज़ूर बाप के क़िसास में बेटे को क़त्ल करते और बेटे के क़िसास में बाप को क़त्ल न करते यानी अगर बेटे ने बाप को क़त्ल किया तो बेटे से क़िसास लेते और बाप ने बेटे को क़त्ल किया हो तो बाप से क़िसास न लेते।

हदीस् (17) अबूदाऊद व निसाई अबू रिमसा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कहते हैं कि मैं अपने वालिद के साथ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। हुज़ूर ने दरयाफ़्त किया, यह कौन है ? मेरे वालिद ने कहा यह मेरा लड़का है आप इस के गवाह रहें हुज़ूर ने फ़रमाया, ख़बरदार न यह तुम्हारे ऊपर जनायत कर सकता है और न तुम इस पर जनायत कर सकते हो। (बल्कि जो जनायत करेगा वही माखुज़ होगा)

हदीस् (18) इमाम तिर्मिज़ी व नसाई व इब्ने माजा व दारमी अबू उमामा बिन सहल बिन हुनैफ़ रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि हज़रत उसमान रदियल्लाहु तआला अन्हु के घर का जब बाग़ियों ने मुहासरा किया तो खिड़की से झांक कर फ़रमाया कि मैं तुमको ख़ुदा की क़सम दिलाता हूँ क्या तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि "किसी मर्दे मुस्लिम का ख़ून हलाल नहीं है मगर तीन वजहों से एहसान के बाद. ज़िना (शादी शुदा होने के बाद ज़िना) से या इस्लाम के बाद कुफ़्र से या किसी नफ़्स को बिग़ैर किसी नफ़्स के क़त्ल कर देने से" उन्हीं वुजूह से क़त्ल किया जायेगा क़सम ख़ुदा की न मैंने ज़मानए कुफ़्र में ज़िना किया और न ज़मानाए इस्लाम में, और जब से मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बैअ़त की मुर्तद नहीं हुआ और किसी ऐसी जान को जिसे अल्लाह तआला ने हराम फ़रमाया क़त्ल नहीं किया फिर तुम मुझे क्यों क़त्ल करते हो।

हदीस् (19) अबूदाऊद हज़रत अबूदरदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मोमिन तेज़ रू और सालेह रहता है जब तक हराम ख़ून न करले और जब हराम ख़ून कर लेता है तो अब वह थक जाता है।

हदीस् (20) अबूदाऊद उन्हीं से और निसाई मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि उम्मीद है कि गुनाह को अल्लाह

बख़्श देगा मगर उस शख़्स को न बख़्शेगा जो मुश्रिक ही मरजाये या जिसने किसी मर्दे मोमिन का क़स्दन नाहक़ क़त्ल किया। (इस की तावील आगे आयेगी)

हदीस् (21) इमाम तिर्मिज़ी ने अम्र बिन शुऐब अन अबीहि अन जद्दिही रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जिसने नाहक़ जान बूझ कर क़त्ल किया वह औलियाए मक़्तूल को दे दिया जायेगा। पस वह अगर चाहें क़त्ल करें और अगर चाहें दियत लें"।

हदीस् (22) दारमी ने इब्ने शुरैह ख़ुज़ाई रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि "जो इस बात के साथ मुब्तला हो कि उसके यहाँ कोई क़त्ल होगया या ज़ख़्मी होगया तो तीन चीज़ों में से एक इख़्तियार करे। अगर चौथी चीज़ का इरादा करे तो उसके हाथ पकड़ लो (यानी रोक दो) यह इख़्तियार है कि क़िसास ले या मुआफ़ करे या दियत ले फिर उन तीनों बातों में से एक को इख़्तियार करने के बाद अगर कोई ज़्यादती करे तो उसके लिये जहन्नम है जिसमें वह हमेशा हमेशा रहेगा।

हदीस् (23) अबूदाऊद जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "मैं उसको मुआफ़ नहीं करूँगा जिसने दियत लेने के बाद क़त्ल किया"।

हदीस् (24) इमाम तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने अबूदाऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की वह कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि "जिस के जिस्म में कोई ज़ख़्म लग जाये फिर वह उसका सदक़ा करदे (मुआफ़ करदे) तो अल्लाह उसका एक दर्जा बढ़ाता है और एक गुनाह मुआफ़ करता है"।

हदीस् (25) इमाम बुख़ारी अपने सहीह में अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद से रिवायत करते हैं कि एक मर्द ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कौनसा गुनाह अल्लाह के नज़्दीक बड़ा है? फ़रमाया कि अल्लाह का कोई शरीक बताये हालांकि अल्लाह ही ने तुमको पैदा किया अर्ज़ की फिर कौनसा गुनाह ? फ़रमाया फिर यह कि अपनी औलाद को इस डर से क़त्ल करे कि वह तुम्हारे साथ खायेगी कहा फिर कौनसा? इरशाद फ़रमाया फिर यह कि अपने पड़ोसी की बीवी से ज़िना करो पस अल्लाह ने इस की तस्दीक़ नाज़िल फ़रमाई :

﴿وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَ لَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ يَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ۝ اِلَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا﴾

तर्जमाः– और वह जो अल्लाह के साथ किसी और को नहीं पूजते और उस जान को जिसे अल्लाह ने हराम किया नाहक़ क़त्ल नहीं करते और बदकारी नहीं करते और जो यह काम करे वह सज़ा पायेगा। उसके लिये चन्द दर चन्द (बहुत ज़्यादा) अज़ाब किया जायेगा और वह उसमें मुद्दतों ज़िल्लत के साथ रहेगा, मगर जो तौबा करले और ईमान लाये और अच्छे काम करे अल्लाह ऐसे लोगों के गुनाहों को नेकियों से बदल देगा और अल्लाह मग़्फ़िरत वाला रहम वाला है।

हदीस् (26) इमाम बुख़ारी ने अपनी सहीह में उबादा बिन सामित रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है वह कहते हैं कि मैं उन नुक़बा से हूँ जिन्होंने (लैलतुलउक़बा) में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बैअत की हमने उस बात पर बैअत की थी कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करेंगे और ज़िना न करेंगे और चोरी न करेंगे और ऐसी जान को क़त्ल न करेंगे जिसको अल्लाह ने हराम फ़रमाया और लूट न करेंगे और ख़ुदा की नाफ़रमानी न करेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो हम को जन्नत दी जायेगी और अगर इनमें से कोई काम हमने किया तो इस का फ़ैसला अल्लाह की तरफ़ है।

हदीस् (27) इमाम बुख़ारी अपनी सहीह में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी हैं कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अल्लाह के नज़्दीक सब लोगों से ज़्यादा मबग़ूज़ तीन शख़्स हैं हरम में इलहाद करने वाला और इस्लाम में तरीक़ाए जाहिलयत का तलब

करने वाला और किसी मुसलमान शख़्स का नाहक़ ख़ून तलब करने वाला ताकि उसे बहाये"।

हदीस (28) इमाम अबूजअ़फ़र तहावी ने अपनी किताब शरह मआ़नियुलआसार में नोअ़मान रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "क़िसास में क़त्ल तलवार ही से होगा"।

मसाइले फ़िक़्हिया

मसअ्ला.1:– क़त्ले ना'हक़ की पाँच सूरतें हैं (1)क़त्ले अ़मद (2)क़त्ले शुबह अ़मद (3)क़त्ले ख़ता (4)क़ाइम मक़ाम ख़ता (5)क़त्ल बिस्सबब। क़त्ले अ़मद यह है कि किसी धारदार आले से क़स्दन क़त्ल करे। आग से जला देना भी क़त्ले अ़मद ही है। धारदार आला मस्लन तलवार, छुरी, या लकड़ी और बांस की खपच्ची में धार निकाल कर क़त्ल किया या धारदार पत्थर से क़त्ल किया लोहा, तांबा और पीतल वग़ैरा की किसी चीज़ से क़त्ल करेगा, अगर इस से जरह यानी ज़ख़्म हुआ तो क़त्ले अ़मद है, मस्लन छुरी, ख़न्जर, तीर, नेज़ा, बल्लम वग़ैरा कि यह सब आलाए जारिहा हैं गोली और छर्रे से क़त्ल हुआ यह भी इसी में दाख़िल है। (हिदाया जिल्द 4 स.559)

मसअ्ला.2:– क़त्ले अ़मद का हुक्म यह है कि ऐसा शख़्स निहायत सख़्त गुनाहगार है। (दुर्रेमुख़्तार) कुफ़्र के बाद तमाम गुनाहों में सब से बड़ा गुनाह क़त्ल है क़ुर्आनमजीद में फ़रमाया:

﴿وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا﴾

तर्जमा :– जो किसी मोमिन को क़स्दन क़त्ल करे उसकी सज़ा जहन्नम में रहना है

ऐसे शख़्स की तौबा क़बूल होती है या नहीं इसके मुतअ़ल्लिक़ सहाबा किराम में इख़्तिलाफ़ है जैसा कि कुतुबे हदीस में यह बात मज़कूर है। सहीह यह है कि उसकी तौबा भी क़बूल हो सकती है और सहीह यह है कि ऐसे क़ातिल की भी मग़फ़िरत हो सकती है अल्लाह तआ़ला की मशीयत में है अगर वह चाहे तो बख़्श दे जैसाकि क़ुर्आन मजीद में फ़रमाया।

﴿اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ﴾

"बेशक अल्लाह शिर्क यानी कुफ़्र को तो नहीं बख़्शेगा इससे नीचे जितने गुनाह हैं जिसके लिये चाहेगा मग़्फ़िरत फ़रमादेगा"

और पहली आयत का यह मतलब बयान किया जाता है कि मोमिन को जो बहैसियत मोमिन क़त्ल करेगा या उसके क़त्ल को हलाल समझेगा वह बेशक हमेशा जहन्नम में रहेगा या ख़ुलूद से मुराद बहुत दिनों तक रहना है।

मसअ्ला.3:– क़त्ले अ़मद की सज़ा दुनिया में फ़क़त क़िसास है यानी यही मुतअ़य्यन है हाँ अगर औलिया–ए–मक़तूल मुआ़फ़ करदें या क़ातिल से माल लेकर मुसालहत करलें तो यह भी हो सकता है मगर बिग़ैर क़ातिल की मर्ज़ी के अगर माल लेना चाहें तो नहीं हो सकता यानी क़ातिल अगर क़िसास को कहे तो औलिया–ए–मक़तूल उससे माल नहीं ले सकते माल पर मुसालहत की सूरत में दियत के बराबर या कम या ज़्यादा तीनों ही सूरतें जाइज़ हैं। यानी माल लेने की सूरत में यह ज़रूरी नहीं कि दियत से ज़्यादा न हो और जिस माल पर सुलह हुई वह दियत की क़िस्म से हो या दूसरी जिन्स से हो दोनों सूरतों में कमी बेशी हो सकती है।(आलमगीरी स.3 जिल्द 6,दुर्रे मुख़्तार व शामी)

मसअ्ला.4:– क़त्ले अ़मद में क़ातिल के ज़िम्मे कफ़्फ़ारा वाजिब नहीं(तहतावी स. 285 जि.4)

मसअ्ला.5:– अगर औलिया (मक़तूल के वारिस) में से किसी एक ने मुआ़फ़ कर दिया तो भी बाक़ी के हक़ में क़िसास साक़ित होजायेगा लेकिन दियत वाजिब होजायेगी। (तबईनुल'हक़ाइक़ स. 99 ज़िल्द 6)

मसअ्ला.6:– औलियाए मक़तूल ने अगर निस्फ़ क़िसास मुआ़फ़ कर दिया तो कुल ही मुआ़फ़ होगया यानी इसमें तज्ज़ी (हिस्सा करना) नहीं हो सकती अब अगर यह चाहें कि बाक़ी निस्फ़ के मुक़ाबिल में माल लें यह नहीं हो सकता। (शलबी बर तबईन स. 99 जि. 6)

मसअ्ला.7:– क़त्ल की दूसरी क़िस्म शुब्हे अ़मद है वह यह कि क़स्दन क़त्ल करे मगर असलह से या जो चीज़ें असलह के क़ाइम मक़ाम हों उनसे क़त्ल न करे मस्लन किसी को लाठी या पत्थर से

मार डाला शुब्हे अमद है। इस सूरत में भी क़ातिल गुनहगार है और उस पर कफ़्फ़ारा वाजिब है और क़ातिल के अस्बा पर दियते मुग़ल्लज़ा वाजिब जो तीन साल में अदा करेंगे। दियत की मिक़दार क्या होगी इसको आइन्दा इन्शाअल्लाह बयान किया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स. 468 जि.5)

मसअ्ला.8:– शुब्हे अमद मार डालने ही की सूरत में है और अगर वह जान से नहीं मारा गया बल्कि उसका कोई अ़ज़ू तलफ़ होगया मसलन लाठी से मारा और उसका हाथ या उंगली टूटकर अलाहिदा होगई तो इसको शुब्ह अमद नहीं कहेंगे बल्कि यह अमद है और इस सूरत में क़िसास है।

मसअ्ला.9:– तीसरी क़िस्म क़त्ले ख़ता है इसकी दो सूरतें हैं एक यह कि उसके गुमान में ग़लती हुई मसलन उसको शिकार समझकर क़त्ल किया और यह शिकार न था बल्कि इन्सान था या हर्बी या मुर्तद समझकर क़त्ल किया हालांकि वह मुस्लिम था। दूसरी सूरत यह है कि उसके फ़ेअ्ल में ग़लती हुई मसलन शिकार पर या चाँद मारी पर गोली चलाई और लगगई आदमी को कि यहाँ इन्सान को शिकार नहीं समझा बल्कि शिकार ही को शिकार समझा और शिकार ही पर गोली चलाई मगर हाथ बहक गया गोली शिकार को नहीं लगी बल्कि आदमी को लगी। इसी की यह दो सूरतें भी हैं निशाने पर गोली लगकर लौट आई और किसी आदमी को लगी या निशाने से पार हो कर किसी आदमी को लगी या एक शख़्स को मारना चाहता था दूसरे को लगी या एक शख़्स के हाथ में मारना चाहता था दूसरे की गर्दन में लगी या एक शख़्स को मारना चाहता था मगर गोली दीवार पर लगी फिर टप्पा खाकर लौटी और इस शख़्स को लगी या इस के हाथ से लकड़ी या ईंट छूट कर किसी आदमी पर गिरी और वह मरगया यह सब सूरतें क़त्ले ख़ता की हैं।(दुर्रेमुख़्तार स.469 जि.5)

मसअ्ला.10:– क़त्ले ख़ता का हुक्म यह है कि क़ातिल पर कफ़्फ़ारा वाजिब है और उसके अ़सबा पर दियत वाजिब है जो तीन साल में अदा की जायेगी क़तले ख़ता की दो सूरतें हैं और उनमें इस के ज़िम्मे क़त्ल का गुनाह नहीं यह तो ज़रूर गुनाह है कि ऐसे आले के इस्तेअ्माल में उसने बे'एहतियाती बरती शरीअ़त का हुक्म है कि ऐसे मौक़ों पर एहतियात से काम लेना चाहिए।(दुरर गुरर)

मसअ्ला.11:– मक़तूल के जिस्म के जिस हिस्से पर वार करना चाहता था वहाँ नहीं लगा। दूसरी जगह लगा यह ख़ता नहीं है बल्कि अमद है और उसमें क़िसास वाजिब है।(बहरुर्राइक़ स.291 व हिदाया)

मसअ्ला.12:– क़त्ल की इन तीनों क़िस्मों में क़ातिल मीरास से महरुम होता है यानी अगर किसी ने अपने मूरिस को क़त्ल किया तो उसका तर्का इसको नहीं मिलेगा बशर्ते कि जिससे क़त्ल हुआ वह मुकल्लफ़ हो और अगर मजनून या बच्चा है तो मीरास से महरूम नहीं होगा।(आलमगीरी स.3 जि.6)

मसअ्ला.13:– चौथी क़िस्म क़ाइम मक़ाम ख़ता जैसे कोई शख़्स सोते में किसी पर गिर पड़ा और यह मर गया इस तरह छत से किसी इन्सान पर गिरा और मरगया। क़त्ल की इस सूरत में भी वही अहकाम हैं जो ख़ता में हैं यानी क़ातिल पर कफ़्फ़ारा वाजिब है और उसके अ़सबा पर दियत और क़ातिल मीरास से महरूम होगा और उसमें भी क़त्ल करने का गुनाह नहीं मगर यह गुनाह है कि ऐसी बे'एहतियाती की जिससे एक इन्सान की जान ज़ाइअ् की(आलामगीरी स.3 जि.6, बहरूर्राइक़ स.292 जि.8)

मसअ्ला.14:– पाँचवीं क़िस्म क़त्ल बिस्सबब जैसे किसी शख़्स ने दूसरे की मिल्क में कुंवाँ खुदवाया, या पत्थर रख दिया, या रास्ते में लकड़ी रखदी, और कोई शख़्स कुंऐं में गिरकर या पत्थर वग़ैरा या लकड़ी से ठोकर खाकर मरगया। इस क़त्ल का सबब वह शख़्स है जिसने कुंवाँ खोदा था और पत्थर वग़ैरा रख दिया था। इस सूरत में उसके अस्बा के ज़िम्मे दियत है। क़ातिल पर न कफ़्फ़ारा है न क़त्ल का गुनाह इसका गुनाह ज़रूर है कि पराई मिल्क में कुंवाँ खुदवाया या वहाँ पत्थर रख दिया। (दुर्रेमुख़्तार स.469, आलमगीरी स.3 जि.6)

कहाँ क़सास वाजिब होता है कहाँ नहीं

मसअ्ला.1:– क़त्ले अमद में क़िसास वाजिब होता है कि ऐसे को क़त्ल किया जिसके ख़ून की मुहाफ़ज़त हमेशा के लिये हो जैसे मुस्लिम या ज़िम्मी कि इस्लाम ने उनकी मुहाफ़ज़त का हुक्म

दिया है बशर्ते कि क़ातिल मुकल्लफ़ हो यानी आक़िल, बालिग़ हो। मजनून या ना'बालिग़ से क़िसास़ नहीं लिया जायेगा। बल्कि अगर क़त्ल के वक़्त आक़िल था और बाद में मजनून होगया अगर क़त्ल के लिये अभी तक ह़वाले नहीं किया गया है क़िसास़ साक़ित (ख़त्म) हो जायेगा और अगर क़िसास़ का हुक्म होचुका और क़त्ल करने के लिये दिया जा चुका है इसके बाद मजनून होगया तो क़िसास़ साक़ित नहीं होगा और इन सूरतों में बजाए क़िसास़ इस पर दियत वाजिब होगी।(बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.2:– जो शख़्स कभी मजनून हो जाता है और कभी होश में आजाता है उसने अगर हालते इफ़ाक़ा (होश की हालत में) में किसी को क़त्ल किया है तो इसके बदले में क़त्ल किया जायेगा हाँ अगर क़त्ल के बाद उसे जुनूने मुतबक़ होगया तो क़िसास़ साक़ित होगया और जुनून मुतबक़ नहीं तो क़त्ल किया जायेगा। (जुनूने मुतबक़, लम्बे अर्से तक जुनून से ठीक ही नहीं हुआ) (बजाज़िया बर हिन्दिया स.381 जि.6)

मसअ्ला.3:– क़िसास़ के लिये यह भी शर्त है कि क़ातिल व मक़्तूल के मा'बैन शुबह न पाया जाता हो मस्लन बाप, बेटा और आक़ा व गुलाम कि यहाँ क़िसास़ नहीं और अगर मक़्तूल ने क़ातिल को कहदिया है कि मुझे क़त्ल कर डाल उसने क़त्ल करदिया इसमें भी क़िसास़ वाजिब नहीं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– आज़ाद को आज़ाद के बदले में क़त्ल किया जायेगा और गुलाम के बदले में भी क़त्ल किया जायेगा, और गुलाम को गुलाम के बदले में और आज़ाद के बदले में क़त्ल किया जायेगा। मर्द को औरत के बदले में और औरत को मर्द के बदले में क़त्ल किया जायेगा। मुस्लिम को ज़िम्मी के बदले में क़त्ल किया जायेगा। हर्बी और मुस्तामिन के बदले में न मुस्लिम से क़िसास़ लिया जायेगा न ज़िम्मी से, इस तरह मुस्तामिन से मुस्तामिन के मुक़ाबिल में क़िसास़ नहीं। ज़िम्मी ने ज़िम्मी को क़त्ल किया, क़िसास़ लिया जायेगा और क़त्ल के बाद क़ातिल मुसलमान होगया जब भी क़िसास़ है। (शामी व दुर्रेमुख़्तार स.471 जि.5, बहरुर्राइक़ स.296 जि.8, आलमगीरी स.3 जिल्द.6)

मसअ्ला.5:– मुस्लिम ने मुर्तद या मुर्तद्दा को क़त्ल किया इस सूरत में क़िसास़ नहीं। दो मुसलमान दारुलहर्ब में अमान लेकर गये और एक ने दूसरे को वहीं क़त्ल कर दिया क़िसास़ नहीं(आलमगीरी स.441 जि.3)

मसअ्ला.6:– आक़िल से मजनून के बदले में और बालिग़ से ना'बालिग़ के बदले में और अंखियारे से अन्धे के बदले में और हाथ पाँव वाले से लुन्जे या जिसके हाथ पाँव न हों उसके बदले में तन्दुरुस्त से बीमार के बदले में और मर्द से औरत के बदले में क़िसास़ लिया जायेगा।(आलमगीरी स.3 जि.6)

मसअ्ला.7:– उसूल ने फ़ुरूअ् को क़त्ल किया मस्लन माँ, बाप, दादा, दादी, नाना, नानी, ने बेटे या पोते, या नवासे को क़त्ल किया इस में क़िसास़ नहीं बल्कि ख़ुद इस क़ातिल से दियत दिलवाई जायेगी बल्कि बाप के साथ अगर बेटे के क़त्ल में कोई अजनबी भी शरीक था तो इस अजनबी से क़िसास़ नहीं लिया जायेगा बल्कि इससे भी दियत ही ली जायेगी। इसका क़ाइदा कुल्लिया यह है कि दो शख़्सों ने मिलकर अगर किसी को क़त्ल किया और उनमें से एक वह है कि अगर वह तन्हा करता तो क़िसास़ वाजिब नहीं। मस्लन अजनबी और बाप दोनों ने क़त्ल किया या एक ने क़स्दन क़त्ल किया और दूसरे ने ख़ता के तौर पर एक ने तलवार से क़त्ल किया दूसरे ने लाठी से उन सब सूरतों में क़िसास़ नहीं है बल्कि दियत वाजिब है।(आलमगीरी स.4 जि.6 बहरुर्राइक़ स.297 जि.8)

मसअ्ला.8:– मौला ने अपने गुलाम को क़त्ल किया इस में क़िसास़ नहीं इसी तरह अपने मुदब्बर या मुकातब या अपनी औलाद के गुलाम को क़त्ल किया या उस गुलाम को क़त्ल किया जिसके किसी हिस्से का क़ातिल मालिक है। (दुर्रेमुख़्तार स.472 जि.5 आलमगीरी स.4 जि.6)

मसअ्ला.9:– क़त्ल से क़िसास़ वाजिब था मगर उसका वारिस् ऐसा शख़्स हुआ कि वह क़िसास़ नहीं ले सकता तो क़िसास़ साक़ित होगा मस्लन वह क़ातिल इस वारिस् के उसूल में से है तो अब नहीं होसकता जैसे एक शख़्स ने अपने ख़ुसर को क़त्ल किया और उसकी वारिस् सिर्फ़ उसकी लड़की है यानी क़ातिल की बीवी फिर यह औरत मरगई और उसका लड़का वारिस् हुआ जो उसी शौहर से है तो क़िसास़ की सूरत में बेटे का बाप से क़िसास़ लेना लाज़िम आता है लिहाज़ा क़िसास़ साक़ित।(दुर्रेमुख़्तार व शामी स.473 जि.5, तबईन स.106 जि.6)

मसअला.10:– मुस्लिम ने अगर मुस्लिम को मुश्रिक समझकर क़त्ल किया मस्लन जिहाद में एक मुस्लिम को काफ़िर समझा और मार डाला इस सूरत में क़िसास नहीं बल्कि दियत व कफ़्फ़ारा है कि यह क़त्ले अमद नहीं बल्कि क़त्ले ख़ता है और अगर मुस्लिम सफ़े कुफ़्फ़ार में था और किसी मुस्लिम ने क़त्ल कर डाला तो दियत व कफ़्फ़ारा भी नहीं। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.474 जि.5)

मसअला.11:– जिन्न अगर ऐसी शक्ल में आया जिसका क़त्ल करना जाइज़ है मस्लन सांप की शक्ल में आया तो उसके क़त्ल में कोई मुवाख़ज़ा नहीं। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.474 जि.5)

मसअला.12:– क़िसास में जिसको क़त्ल किया जाये तो यह ज़रूर है कि तलवार ही से क़त्ल किया जाये अगर्चे क़ातिल ने उसे तलवार से क़त्ल न किया हो बल्कि किसी और तरह से मारडाला हो जिससे क़िसास वाजिब होता हो। ख़न्जर या नेज़ा से या दूसरे असलहा से क़त्ल करना भी तलवार ही के हुक्म में है। लिहाज़ा अगर अस्लहा के सिवा किसी और तरह से क़िसास में क़त्ल किया मस्लन कुएं में गिराकर मारडाला या पत्थर वग़ैरा से क़त्ल किया तो ऐसा करने से तअ्ज़ीर का मुस्तहक़ है। (हिदाया स.563 जि.4, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.474 जि.5)

मसअला.13:– किसी के हाथ पाँव काट डाले और वह मरगया तो क़ातिल की गर्दन तलवार से उड़ादी जाये यह नहीं कि उसके हाथ पाँव काटकर छोड़दें इसी तरह अगर उसका सर तोड़ डाला और मरगया तो क़ातिल की गर्दन तलवार से काट दीजायेगी।(आलमगीरी स.4 जि.6)

मसअला.14:– बाज़ औलिया–ए–मक़तूल ने क़िसास लेलिया तो बाक़ी औलिया इससे ज़मान नहीं ले सकते। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.477 जि.5)

मसअला.15:– दो शख़्स वलीए मक़तूल थे उनमें से एक ने मुआफ़ कर दिया और दूसरे ने क़ातिल को क़त्ल कर डाला अगर उसे यह मालूम था कि बाज औलिया के मुआफ़ करदेने से क़िसास साक़ित होजाता है तो इससे क़िसास लिया जायेगा और अगर नहीं मालूम था तो इस से दियत ली जायेगी। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.477 जि.5)

मसअला.16:– मक़तूल के बाज़ औलिया बालिग़ हैं और बाज़ ना'बालिग़ तो क़िसास में यह इन्तिज़ार नहीं किया जायेगा कि वह ना'बालिग़, बालिग़ होजायें बल्कि जो वुरसा बालिग़ हैं वह अभी क़िसास ले सकते हैं। (हिदाया स.565 जि.4 दुर्रेमुख़्तार व शामी स.472 जि.5)

मसअला.17:– क़ातिल को किसी अजनबी शख़्स ने (यानी उसने जो मक़तूल का वली नहीं है) क़त्ल कर डाला अगर उसने अमदन क़त्ल किया है तो उस क़ातिल से क़िसास लिया जायेगा और ख़ता के तौर पर क़त्ल किया है तो उस क़ातिल के अस्बा से दियत ली जायेगी क्योंकि उस अजनबी के लिये उसका क़त्ल हलाल न था अब अगर मक़तूल अव्वल का वली यह कहता है कि मैंने उस अजनबी से क़त्ल करने को कहा था लिहाज़ा उससे क़िसास न लिया जाये जब तक गवाह न हों इसकी बात नहीं मानी जायेगी और उस अजनबी से क़िसास लिया जाये। और बहर सूरत जब कि क़ातिल को अजनबी ने क़त्ल कर डाला तो वली मक़तूल का हक़ साक़ित होगया यानी क़िसास तो हो ही नहीं सकता कि क़ातिल रहा ही नहीं और दियत भी नहीं ली जासकती कि इसके लिये रज़ा'मन्दी दरकार है और वह पाई नहीं गई। जिस तरह क़ातिल मरजाये तो वलीए मक़तूल का हक़ साक़ित होजाता है। इसी तरह यहाँ।(दुर्रेमुख़्तार व शामी स.476 जि.5)

मसअला.18:– औलियाए मक़तूल ने गवाही से यह साबित किया कि ज़ैद ने उसे ज़ख़्मी किया और क़त्ल किया है ज़ैद ने गवाहों से यह साबित किया कि ख़ुद मक़तूल ने यह कहा है कि ज़ैद ने न मुझे ज़ख़्मी किया न क़त्ल किया तो उन्हीं गवाहों को तरजीह दी जायेगी। (दुर्रेमुख़्तार स.477 जि.5)

मसअला.19:– मजरूह ने यह कहा कि फ़ुलाँ ने मुझे ज़ख़्मी नहीं किया है यह कहकर मरगया तो इस के वुरसा उस शख़्स पर क़त्ल का दअ्वा नहीं कर सकते मजरूह ने यह कहा कि फ़ुलाँ शख़्स ने मुझे क़त्ल किया यह कहकर मरगया अब इसके वुरसा दूसरे शख़्स पर दअ्वा करते हैं कि उसने

क़त्ल किया है यह दअ्वा मस्मूअ् नहीं होगा। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.478 जि.5)

मसअ्ला.20:– जिस को ज़ख़्मी किया गया उसने मरने से पहले मुआफ़ करदिया या उसके औलिया ने मरने से पहले मुआफ़ कर दिया यह मुआफ़ी जाइज़ है यानी अब किसास नहीं लिया जायेगा(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.21:– किसी को ज़हर देदिया। उसे मालूम नहीं और ला इल्मी में खा पी गया तो इस सूरत में न किसास है न दियत, मगर ज़हर देने वाले को क़ैद किया जायेगा और उस पर तअ्ज़ीर होगी और अगर खुद उसने इस के मुँह में ज़हर ज़बरदस्ती डाल दिया या इसके हाथ में दिया और पीने पर मजबूर किया तो दियत वाजिब होगी। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.478 जि.5)

मसअ्ला.22:– यह कहा कि मैंने अपनी बद् दुआ से फुलाँ को हलाक करदिया, या बातिनी तीरों से हलाक किया, या सूरए इन्फ़ाल पढ़ कर हलाक किया, तो यह इक़रार करने वाले पर किसास वग़ैरा लाज़िम नहीं। इसी तरह अगर वह यह कहता है कि मैंने अल्लाह तआला के असमाए क़हरियाह पढ़कर इसको हलाक कर दिया इस कहने से भी कुछ लाज़िम नहीं। नज़रे बद से हलाक करने का इक़रार करे उसके मुतअ्ल्लिक़ कुछ मन्क़ूल नहीं। (शामी स.478 जि.5)

मसअ्ला.23:– किसी ने इस का सर तोड़ डाला और खुद उसने भी अपना सर तोड़ा और शेर ने उसे ज़ख़्मी किया और सांप ने भी काट खाया और यह मरगया तो उस शख़्स पर जिसने सर तोड़ा है तिहाई दियत वाजिब होगी। (आलमगीरी स.4 जि.6)

मसअ्ला.24:– एक शख़्स ने कई शख़्सों को क़त्ल किया और उन तमाम मक़तूलीन के औलिया ने किसास का मुतालबा किया तो सबके बदले में उस क़ातिल को क़त्ल किया जायेगा और फ़क़त एक के वली ने मुतालबा किया और क़त्ल कर दिया गया तो बाक़ियों का हक़ साक़ित होजायेगा यानी अब उनके मुतालबे पर कोई मज़ीद कार्रवाई नहीं होसकती। (आलमगीरी स.4 जि.6)

मसअ्ला.25:– एक शख़्स को चन्द शख़्सों ने मिलकर क़त्ल किया तो उसके बदले में यह सब क़त्ल किये जायेंगे। (आलमगीरी स.5 जि.6)

मसअ्ला.26:– एक से ज़्यादा मरतबा जिसने गला घोंटकर मार डाला उसको बतौर सियासत क़त्ल किया जायेगा और गिरफ़्तारी के बाद अगर तौबा करे तो उसकी तौबा मक़बूल नहीं और उसका वही हुक्म है जो जादूगर का है। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.481 जि.5 बहरुर्राइक़ स.294 जि.8)

मसअ्ला.27:– किसी के हाथ पाँव बांधकर शेर या दरिन्दे के सामने डाल दिया उसने मार डाला ऐसे शख़्स को सज़ा दीजाये और मारा जाये और क़ैद में रखा जाये यहाँ तक कि वहीं क़ैद ख़ाना ही में मरजाये। इसी तरह अगर ऐसे मकान में किसी को बन्द करदिया जिसमें शेर है जिसने मार डाला या उसमें सांप है जिसने काट लिया। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.480 जि.5)

मसअ्ला.28:– बच्चे के हाथ पाँव बांधकर धूप या बर्फ़ पर डाल दिया और वह मरगया तो उन दोनों सूरतों में दियत है और अगर आग में डाल कर निकाल लिया और थोड़ीसी ज़िन्दगी बाक़ी है मगर कुछ दिनों बाद मरगया तो किसास है और अगर चलने फिरने लगा फिर मरगया तो किसास नहीं है। (आलमगीरी स.6 जि.6 बहरुर्राइक़ स.294 जिल्द8)

मसअ्ला.29:– एक शख़्स ने दूसरे का पेट फाड़ दिया कि आंतें निकल पड़ीं फिर किसी और ने उस की गर्दन उड़ादी तो क़ातिल यही है जिसने गर्दन मारी अगर उसने अमदन किया है तो किसास है और ख़ता के तौर पर हो तो दियत वाजिब है और जिसने पेट फाड़ा उसपर तिहाई दियत वाजिब है और अगर पेट इस तरह फाड़ा कि पीठ की जानिब ज़ख़्म नुफ़ूज़ करगया तो दियत की दो तिहाईयाँ यह हुक्म उस वक़्त है कि पीठ फाड़ने के बाद वह शख़्स एक दिन या कुछ कम ज़िन्दा रह सकता हो और अगर ज़िन्दा न रह सकता हो और मक़तूल की तरह तड़प रहा हो तो क़ातिल वह है जिसने पेट फाड़ा उसने अमदन किया हो तो किसास है और ख़ता के तौर पर हो तो दियत है और जिसने गर्दन मारी उसपर तअ्ज़ीर है उसी तरह अगर एक शख़्स ने ऐसा ज़ख़्मी

किया कि उम्मीदे ज़ीस्त (जिन्दगी की उम्मीद) न रही फिर दूसरे ने उसे ज़ख़्मी किया तो क़ातिल वही पहला शख़्स है अगर दोनों ने एक साथ ज़ख़्मी किया तो दोनों क़ातिल हैं। अगर्चे एक ने दस वार किये और दूसरे ने एक ही वार किया हो। (आलमगीरी स.6 जि.6 शामी स.480 जि.5)

मसअला.30:– किसी शख़्स का गला काट दिया सिर्फ़ हुल्कूम का कुछ हिस्सा बाक़ी रहगया है और अभी जान बाक़ी है दूसरे ने उसे क़त्ल कर डाला तो क़ातिल पहला शख़्स है दूसरे पर क़िसास नहीं क्योंकि उसका मय्यित में शुमार है लिहाज़ा अगर मक़तूल इस हालत में था और मक़तूल का बेटा मरगया तो बेटा वारिस् होगा यह मक़तूल अपने बेटे का वारिस् नहीं होगा।(आलमगीरी स.6 जि.6)

मसअला.31:– जो शख़्स हालते नज़अ् में था उसे क़त्ल कर डाला उसमें भी क़िसास है। अगर्चे क़ातिल को यह मालूम हो कि अब जिन्दा नहीं रहेगा। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.480 जि.5)

मसअला.32:– किसी को अ़मदन ज़ख़्मी किया गया कि वह साहिबे फ़राश होगया और उसी में मरगया तो क़िसास नहीं मस्लन किसी दूसरे ने इस मजरूह की गर्दन काटदी तो अब मरने को इस की तरफ़ निस्बत किया जायेगा या वह शख़्स अच्छा होकर मरगया तो अब यह नहीं कहा जायेगा कि उसी ज़ख़्म से मरा। (दुर्रेमुख़्तार व शामी, तबईन स.109 जि.6)

मसअला.33:– जिसने मुसलमानों पर तलवार खींची ऐसे को उस हालत में क़त्ल कर देना वाजिब है यानी उसके शर को दफ़अ् करना वाजिब है अगर्चे उसके लिये क़त्ल ही करना पड़े उसी तरह अगर एक शख़्स पर तलवार खींची तो उसे भी क़त्ल करने में कोई हरज नहीं ख़्वाह वही शख़्स क़त्ल करे जिसपर तलवार उठाई या दूसरा शख़्स इसी तरह अगर रात के वक़्त शहर में लाठी से हमला किया या शहर से बाहर दिन या रात में किसी वक़्त भी हमला किया और उसको किसी ने मारडाला तो इसके ज़िम्मे कुछ नहीं। (हिदाया स.567 जि.4, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.481 जि.5)

मसअला.34:– मजनून ने किसी पर तलवार खींची और उसने मजनून को क़त्ल कर दिया तो क़ातिल पर दियत वाजिब है जो खुद अपने माल से अदा करे यही हुक्म बच्चे का है कि इसकी भी दियत देनी होगी और अगर जानवर ने हमला किया और जानवर को मारडाला तो इसकी क़ीमत का तावान देना होगा। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.482 जि.5)

मसअला.35:– कोई शख़्स तलवार मारकर भाग गया कि अब दोबारा मारने का इरादा नहीं रखता फिर उसे किसी ने मार डाला तो क़ातिल से क़िसास लिया जायेगा यानी उसी वक़्त इस को क़त्ल करना जाइज़ है जब वह हमला कर रहा हो या हमला करना चाहता है बाद में जाइज़ नहीं।(आलमगीरी)

मसअला.36:– घर में चोर घुसा और माल चुराकर ले जाने लगा साहिबे ख़ाना ने पीछा किया और चोर को मार डाला तो क़ातिल के ज़िम्मे कुछ नहीं मगर यह उस वक़्त है कि मालूम है कि शोर करेगा और चिल्लायेगा तो माल छोड़कर नहीं भागेगा और अगर मालूम है कि शोर करेगा तो माल छोड़कर भाग जायेगा तो क़त्ल करने की इजाज़त नहीं बल्कि उस वक़्त क़त्ल करने से क़िसास वाजिब होगा। (हिदाया स.568 जि.4, आलमगीरी स.7 जि.6)

मसअला.37:– मकान में चोर घुसा और अभी माल लेकर निकला नहीं इसने शोर व गुल किया मगर वह भागा नहीं या इसके मकान में या दूसरे के मकान में नक़्ब लगा रहा है और शोर करने से भागता नहीं इस को क़त्ल करना जाइज़ है बशर्तेकि चोर होना उसका मशहूर व मअ्रूफ़ हो(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.38:– वलीए मक़तूल ने क़ातिल को या किसी दूसरे को क़िसास हिबा कर दिया। यह नाजाइज़ है यानी क़िसास ऐसी चीज़ नहीं जिसका मालिक दूसरे को बनाया जासके और उसको हिबा करने से क़िसास साक़ित नहीं होगा। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.483 जि.5)

मसअला.39:– वलीए मक़तूल ने मुआफ़ कर दिया यह सुलह से अफ़ज़ल है सुलह क़िसास से अफ़ज़ल है और मुआफ़ करने की सूरत में क़ातिल से दुनिया में मुतालबा नहीं होसकता है न अब क़िसास लिया जा सकता है न दियत ली जासकती है। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.482 जि.5) रहा मुआख़ज़ा

उख़रवी उससे बरी नहीं हुआ क्योंकि क़त्ले नाहक़ में तीन हक़ इसके साथ मुतअ़ल्लिक़ हैं एक अल्लाह का हक़, दूसरा मक़तूल का हक़, तीसरा वली का हक़, वली को अपना हक़ मुआ़फ़ करने का इख़्तियार था सो इसने मुआ़फ़ कर दिया मगर हक़्क़ुल्लाह और हक़्क़े मक़तूल बदस्तूर बाक़ी हैं वली के मुआ़फ़ करने से वह मुआ़फ़ नहीं हुए। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.484 जि.5)

मसअ्ला.40:– मजरूह का मुआ़फ़ करना सहीह है यानी मुआ़फ़ करने के बाद मरगया तो अब वली को क़िसास़ लेने का इख़्तियार नहीं रहा। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.484 जि.5)

मसअ्ला.41:– क़ातिल की तौबा सहीह नहीं जब तक वह अपने को क़िसास़ के लिये पेश न कर दे यानी औलियाए मक़तूल को जिस तरह होसके राज़ी करे ख़्वाह वह क़िसास़ लेकर राज़ी हों या कुछ लेकर मुसालहत (सुलह) करें या बिग़ैर कुछ लिये मुआ़फ़ करदें। अब वह दुनिया में बरी होगया और मअ़सियत पर इक़दाम करने का जुर्म व ज़ुल्म यह तौबा से मुआ़फ़ होजायेगा। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.484 जि.5)

अत़राफ़ में क़िसास़ का बयान

मसअ्ला.1:– अअ़्ज़ा में क़िसास़ वहीं होगा जहाँ मुमासलत(बराबरी) की रिआ़यत की जासके यानी जितना उसने किया है उतना ही किया जाये यह एहतिमाल न हो कि उससे ज़्यादती होजायेगी(दुर्रेमुख़्तार स.485 जि.5)

मसअ्ला.2:– हाथ को जोड़ पर से काट लिया है उसका क़िसास़ लिया जायेगा जिस जोड़ पर से काटा है उसी जोड़ पर से उसका भी हाथ काट लिया जाये उसमें यह नहीं देखा जायेगा कि उस का हाथ छोटा था और इसका बड़ा है कि हाथ हाथ दोनों यक्सां क़रार पायेंगे।(दुर्रेमुख़्तार व शामी)

मसअ्ला.3:– कलाई या पिन्डली दरम्यान में से काटदी यानी जोड़ पर से नहीं काटी बल्कि आधी या कम व बेश काटदी उसमें क़िसास़ नहीं कि यहाँ मुमासलत मुम्किन नहीं इस तरह नाक की हड्डी कुल या उसमें से कुछ काटदी यहाँ भी क़िसास़ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.485 जि.5)

मसअ्ला.4:– पाँव काटा या नाक का नर्म हिस्सा काटा या कान काट दिया। उनमें क़िसास़ है और अगर नाक के नर्म हिस्से से कुछ काटा है तो क़िसास़ वाजिब नहीं और नाक की नोक काटी है तो उस में हुकूमते अ़द्ल है काटने वाले की नाक उसकी नाक से छोटी है तो जिसकी नाक काटी है उसको इख़्तियार है कि क़िसास़ ले या दियत और अगर काटने वाले की नाक में कोई ख़राबी है मसलन वह अख़्सम है जिसे बू महसूस नहीं होती या उसकी नाक कुछ कटी हुई है या किसी क़िस्म का नुक़सान है तो इस को इख़्तियार है कि क़िसास़ ले या दियत। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.485 जि.5)

मसअ्ला.5:– कान काटने में क़िसास़ उस वक़्त है कि पूरा काट लिया हो। या इतना काटा हो जिसकी कोई ह़द हो ताकि इतना ही उसका कान भी काटा जाये। और अगर यह दोनों बातें न हों तो क़िसास़ नहीं कि मुमासलत मुम्किन नहीं। काटने वाले का कान छोटा है और इसका बड़ा था या काटने वाले के कान में छेद है या यह फटा हुआ है और उसका कान सालिम था तो उसे इख़्तियार है कि क़िसास़ ले या दियत। (शामी स.365 जि.5, बहरुर्राइक़ स345 स.8)

هٰذا ما تیسر لی الی الان و ما توفیقی الا باللہ و ھو حسبی و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر واللہ المسئول ان یوفقنی لعمل اھل السعادۃ و یرزقنی حسن الخاتمۃ علی الکتاب و السنۃ و انا الفقیر الحقیر ابو العلاء محمد امجد علی الاعظمی غفر لہ و لوالدیہ و لمحبیہ ولا ساتذہ۔امین

यहाँ से जदीद तस्नीफ़ का आगाज़ होता है

(यहाँ से बीसवें हिस्से तक सदरुश्शरीआ के शागिर्दों ने तस्नीफ़ किया है (अमीनुल क़ादरी))

मसअ्ला.1:– ज़ख़्मों का क़िसास़ सेहत के बाद लिया जायेगा। (शामी स.485 जि.5, तहतावी स.268 जि.4)

मसअ्ला.2:– दाहिने हाथ की जगह बायाँ हाथ और तन्दुरुस्त की जगह ऐसा शल हाथ जो नाक़िबिले इन्तिफ़ा हो (काम के लायक़ न हो) और औरत के हाथ के बदले मर्द का हाथ और मर्द के हाथ के बदले में औरत का हाथ नहीं काटा जायेगा। (आलमगीरी स.9 जि.6 दुर्रेमुख़्तार व शामी स.488 जि.5)

मसअला.3:– आज़ाद का हाथ गुलाम के हाथ के बदल में और गुलाम का हाथ आज़ाद के हाथ के बदले में नहीं काटा जायेगा और गुलाम के हाथ के बदले में गुलाम का हाथ भी नहीं काटा जायेगा

मसअला.4:– मुसलमान और ज़िम्मी एक दूसरे के अअ्ज़ा काटदें तो उनमें क़िसास़ लिया जायेगा और यही हुक्म है दो आज़ाद औरतों और मुस्लिमा व किताबिया और दोनों किताबिया औरतों का।

मसअला.5:– बालों, सर और बदन की खाल और रुख़सारों और ठोड़ी, पेट, और पीठ के गोश्त में क़िसास़ नहीं है। (आलमगीरी स.9 जि.6)

मसअला.6:– थप्पड़ मारा या घूंसा मारा या दबोचा तो उनका क़िसास़ नहीं है। (आलमगीरी स.9 जि.6)

मसअला.7:– दांत के सिवा किसी हड्डी में क़िसास़ नहीं है। (आलमगीरी स.9 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.486 जि.5)

आँख का बयान

मसअला.8:– किसी ने किसी की आँख पर ऐसी ज़र्ब लगाई कि जिससे सिर्फ़ रौशनी जाती रही और ब'ज़ाहिर आँख में और कोई ऐब नहीं है तो इस त़रह क़िसास़ लिया जायेगा कि मारने वाले की आँख की रौशनी ज़ाइल होजाये और कोई दूसरा ऐब पैदा न हो। (आलमगीरी स.9 जि.6 दुर्रेमुख़्तार व शामी स.486)

मसअला.9:– अगर आँख निकाल ली या इस त़रह़ मारा कि अन्दर धंसगई तो क़िसास़ नहीं है क्योंकि मुमासलत (बराबरी) नहीं हो सकती। (दुर्रेमुख़्तार स.486 जि.5, आलमगीरी स.9 जि.6)

मसअला.10:– अअ्ज़ा में जहाँ क़िसास़ वाजिब होता है वहाँ हथियार से मारना और ग़ैर हथियार से मारना बराबर है। (आलमगीरी स.9 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.486)

मसअला.11:– अगर ज़र्ब लगाकर आँख का ढेला निकाल दिया और जिसका ढेला निकाला गया वह कहता है कि मैं इसपर तैयार हूँ कि जानी की (ज़र्ब लगाने वाले की) आँख फोड़दी जाये और ढेला न निकाला जाये तो भी ऐसा नहीं किया जायेगा। (आलमगीरी स.9 जि.6)

मसअला.12:– अगर किसी ने किसी की दाहिनी आँख ज़ाइअ् करदी और जानी की (यानी आँख ज़ाइअ् करने वाले की) बाईं आँख नहीं है तो भी इसकी दाहिनी आँख फोड़कर इसको अन्धा कर दिया जायेगा। (आलमगीरी स.9 जि.6, दुर्रेमुख़्तार स.486 जि.5)

मसअला.13:– भींगे की ऐसी आँख जिसमें पूरी रौशनी थी, क़स्दन फोड़दी तो इस का क़िसास लिया जायेगा और अगर इतना भींगा है कि कम देखता है तो इस सूरत में इन्साफ़ के साथ तावान लिया जायेगा। (आलमगीरी स.9 जि.6, दुर्रेमुख़्तार शामी स.486 जि.5)

मसअला.14:– कम नज़र, भींगे ने किसी की अच्छी आँख फोड़दी तो उस शख़्स़ को इख़्तियार है चाहे तो क़िसास़ ले और नुक़सान पर राज़ी होजाये और चाहे तो जानी (यानी आँख फोड़ने वाला) के माल से आधी दियत लेले। (आलमगीरी स.9 जि.6, क़ाज़ी ख़ाँ अलल्हिन्दिया स.439 जि.3)

मसअला.15:– जिस शख़्स़ की दाहिनी आँख में जाला है और वह इससे कुछ देखता है उसने किसी शख़्स़ की दाहिनी आँख ज़ाइअ् करदी तो जिसकी आँख ज़ाइअ् की गई है उसको इख़्तियार है कि इसकी नाक़िस़ आँख ज़ाइअ् करदे या आँख की दियत लेले और अगर वह जाले वाली आँख से कुछ नहीं देखता तो क़िसास़ नहीं है और अगर इस शख़्स़ ने जिस की आँख ज़ाइअ् हुई थी अभी कुछ इख़्तियार नहीं किया था कि किसी और शख़्स़ ने इस आँख फोड़ने वाले की आँख फ़ोड़ दी तो पहले वाले का ह़क़ इसकी आँख में बात़िल होगया और अगर पहले जिसकी आँख फ़ोड़ी गई थी उसने दियत इख़्तियार करली थी फिर किसी शख़्स़ ने जानी की आँख फोड़दी तो अगर इसका इख़्तियार स़हीह़ था तो इसका ह़क़ आँख से दियत की त़रफ़ मुन्तक़िल होजायेगा और आँख के ज़ाइअ् होने से इसका ह़क़ बात़िल नहीं होगा और अगर इसका इख़्तियार स़हीह़ नहीं था तो इसका ह़क़ बात़िल होजायेगा इख़्तियार स़हीह़ होने का मत़लब यह है कि जनायत करने वाले ने इख़्तियार दिया हो और अगर इसने ख़ुद ही दियत को इख़्तियार कर लिया है तो इख़्तियार स़हीह़ नहीं है और इस सूरत में जिस में इख़्तियार स़हीह़ नहीं है अगर जानी की जाले वाली आँख में रौशनी आगई तो

फिर क़िसास ले सकता है और इस सूरत में जिस में इख़्तियार सहीह है क़िसास की तरफ़ रुजूअ नहीं कर सकता। (आलमगीरी स.10 जि.6)

मसअला.16:– किसी की जाले वाली ऐसी आँख को नुक़सान पहुँचाया जिसमें रौशनी है और जानी की आँख भी ऐसी है तो क़िसास नहीं है। (शामी स.486 जि.5 आलमगीरी स.10 जि.6)

मसअला.17:– अगर किसी की आँख पर इस तरह ज़र्ब लगाई कि कुछ पुतली पर जाला आगया या आँख को ज़ख़्मी कर दिया उसमें छाला या जाला आगया या आँख में कोई ऐसा ऐब पैदा कर दिया कि उससे रौशनी कम होगई तब भी इन्साफ़ के साथ तावान लिया जायेगा। (आलमगीरी स.10 जि.6)

मसअला.18:– अगर किसी की बाईं आँख फोड़दी तो जानी (आँख फोड़ने वाला) की दाहिनी आँख से और अगर दाहिनी आँख फोड़ दी तो बाईं आँख से क़िसास नहीं लिया जायेगा।(आलमगीरी स.10 जि.6)

मसअला.19:– किसी की आँख पर मारा कि जाला आगया फिर जाला जाता रहा और वह देखने लगा तो मारने वाले पर कुछ नहीं है यह हुक्म इस सूरत में है जब पूरी नज़र वापस आजाये लेकिन अगर बीनाई में नुक़सान रहा तो इन्साफ़ से तावान लिया जायेगा। (आलमगीरी स.10 जि.6)

मसअला.20:– अगर किसी बच्चे की आँख पैदाइश के फ़ौरन बाद या चन्द रोज़ बाद फोड़दी और जानी कहता है कि बच्चा आँख से नहीं देखता था या कहता है कि मुझे इसके देखने या न देखने का इल्म नहीं तो इसकी बात मान ली जायेगी और उसे तावान देना होगा जिसका फ़ैसला इन्साफ़ से किया जायेगा और अगर यह इल्म होजाये कि बच्चे ने इस आँख से देखा है इस तरह कि दो गवाह बच्चे की आँख की सलामती की गवाही दें तो ग़लती से फोड़ने की सूरत में निस्फ़ दियत और क़स्दन फोड़ने की सूरत में क़िसास है। (आलमगीरी स.10 जि.6)

मसअला.21:– जिसकी आँख फोड़ी गई उसकी आँख फोड़ने वाले की आँख से छोटी हो या बड़ी बहर सूरत क़िसास लिया जायेगा। (शामी स.486 जि.5, आलमगीरी स.10 जि.6)

मसअला.22:– किसी की आँख में चोट लग गई या ज़ख़्म आगया डाक्टर ने इस शर्त पर इलाज किया कि अगर रौशनी चली गई तो मैं ज़ामिन हूँ फिर अगर रौशनी चली गई तो वह ज़ामिन नहीं होगा। (बज़ाज़िया अलल्हिन्दिया स.391 जि.6)

कान

मसअला.23:– जब किसी का पूरा कान क़स्दन काट दियाजाये तो क़िसास है अगर कान का बाज़ हिस्सा काट दियाजाये और उसमें बराबरी की जासकती हो तो भी क़िसास है वरना नहीं(आलमगीरी)

मसअला.24:– किसी ने किसी का कान क़स्दन काटा और काटने वाले का कान छोटा या फटा हुआ या चिरा हुआ है और जिसका कान काटा गया उसका कान बड़ा या सालिम है तो इस को इख़्तियार है कि चाहे वह क़िसास ले और चाहे तो दियत ले और अगर जिसका कान काटा गया है उसका कान नाक़िस था तो इन्साफ़ के साथ तावान है। (शामी स.486 जि.5 आलमगीरी स.10 जि.6)

मसअला.25:– अगर किसी शख़्स ने कान खींचा और कान की लौ जुदा करली तो इस में क़िसास नहीं। इस पर अपने माल में दियत है। (आलमगीरी स.10 जि.6, बहरुर्राइक स.303 जि.8)

नाक

मसअला.26:– अगर नाक का नर्म हिस्सा पूरा क़स्दन काट दिया तो इसमें क़िसास है और अगर बाज़ हिस्सा काटा तो उसमें क़िसास नहीं है। (शामी स.485 जि.5, आलमगीरी स.10 जि.6)

मसअला.27:– अगर नाक के बांसे यानी हड्डी का कुछ हिस्सा अमदन काट दिया तो क़िसास नहीं है। (शामी स.485 जि.5 आलमगीरी स.10 जिल्द.6)

मसअला.28:– अगर नाक की फंक यानी नर्म हिस्सा का बाज़ काट दिया तो इन्साफ़ के साथ तावान लिया जायेगा। (आलमगीरी स.10 जिल्द.6 शामी स.485 जि.5)

मसअला.29:– अगर नाक काटने वाले की नाक से छोटी है तो मक़तूउलअन्फ़ को इख़्तियार है कि

चाहे क़िसास ले और चाहे अर्श ले।(यानी वह माल ले जो क़त्ल के इलावा में लाज़िम आता है) (आलमगीरी स.10 जि.6)

मसअ्ला.30:– अगर नाक काटने वाले की नाक में सूंघने की ताक़त नहीं या उसकी नाक कटी हुई है या उसकी नाक में और कोई नक़्स है तो जिसकी नाक काटी गई है उसको इख़्तियार है कि चाहे तो उसकी नाक काटले और चाहे तो दियत लेले। (आलमगीरी स.10 जिल्द.6)

होंट

मसअ्ला.31:– अगर किसी ने किसी का पूरा होंट क़स्दन काट दिया तो क़िसास है ऊपर के होंट में ऊपर के होंट से और नीचे के होंट में नीचे के होंट से क़िसास लिया जायेगा और अगर बाज़ होंट काट दिया तो क़िसास नहीं हैं। (आलमगीरी स.11 जि.6, हिदाया स.555 जि.4)

ज़बान

मसअ्ला.32:– ज़बान पूरी काटी जाये या बाज़ इसमें क़िसास नहीं है।(आलमगीरी स.11 जि.6, बहरुर्राइक़ स.306 जि.8)

दांत

मसअ्ला.33:– दांत में मुमासलत के साथ क़िसास है यानी दाहिने के बदले में बायाँ और बायें के बदले में दायाँ ऊपर वाले के बदले में नीचे वाला और नीचे वाले के बदले में ऊपर वाला नहीं तोड़ा जायेगा। सामने वाले के बदले में सामने वाला, कीले के बदले में कीला और दाढ़ के बदले में डाढ़ तोड़ी जायेगी। (आलमगीरी स.11 जि.6, बहरुर्राइक़ स.304 जि.8)

मसअ्ला.34:– दांत में छोटे बड़े होने का एअ्तिबार नहीं है छोटे के बदले में बड़ा और बड़े के बदले में छोटा तोड़ा जायेगा। (आलमगीरी स.11 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.486 जि.5)

मसअ्ला.35:– सिने ज़ाइद (फ़ालतू दांत) में क़िसास नहीं है इस में इन्साफ़ के साथ तावान लिया जायेगा। (आलमगीरी स.11 जि.6 शामी स.482 जि.5)

मसअ्ला.36:– अगर किसी ने दांत का बाज़ हिस्सा क़स्दन तोड़ दिया तो अगर मुमासलत के साथ क़िसास मुम्किन हो तो क़िसास लिया जायेगा वरना दियत लाज़िम होगी। (आलमगीरी स.11 जिल्द. 6शामी)

मसअ्ला.37:– अगर किसी के दांत का बाज़ हिस्सा तोड़ दिया और बाद में बक़िया बाज़ ख़ुद गिर गया तो इस सूरत में क़िसास नहीं है।(आलमगीरी जि.6 स.11)

मसअ्ला.38:– किसी शख़्स के दांत को ऐसा मारा कि दांत हिल गया मगर उखड़ा नहीं फिर दूसरे शख़्स ने उसको उखेड़ दिया तो इस सूरत में हर एक पर इन्साफ़ के साथ तावान है।(शामी स.486 जि.5)

मसअ्ला.39:– दांत का बाज़ हिस्सा तोड़दिया फिर बाक़ी हिस्सा काला या सुर्ख़ या सब्ज़ होगया या इस में कोई ऐब उसके तोड़ने की वजह से पैदा होगया तो क़िसास नहीं है दियत है(आलमगीरी स.11 जिल्द6)

मसअ्ला.40:– दो शख़्स अखाड़े में इस लिये उतरे थे कि मुक्केबाज़ी करेंगे पस एक ने दूसरे को इस तरह मारा कि उसका दांत उखड़ गया तो मारने वाले पर क़िसास है और अगर हर एक ने दूसरे से कहा कि मार, मार, और एक ने दूसरे को मुक्का मारकर दूसरे का दांत तोड़दिया तो इस पर कुछ नहीं है। (आलमगीरी स.11 जि.6 बहरुर्राइक़ स.305 जि.8)

मसअ्ला.41:– अगर किसी ने क़स्दन किसी के सामने के दांत उखेड़ दिये और उखेड़ने वाले से क़िसास ले लिया गया। फिर जिस से क़िसास लिया गया था उसके दांत दोबारा निकल आये तो उसके दांत दोबारा नहीं उखेड़े जायेंगे। (आलमगीरी स.11 जि.6, बहरुर्राइक़ स.305 जि.8)

मसअ्ला.42:– ज़ैद ने बक्र का दांत उखेड़ दिया और बक्र ने क़िसास में ज़ैद का दांत उखेड़ दिया इस के बाद बक्र का दांत उग गया तो ज़ैद को बक्र दांत की दियत देगा और अगर दांत टेढ़ा उगा तो बक्र इन्साफ़ के साथ ज़ैद को तावान देगा और अगर आधा उगा तो निस्फ़ दियत देगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.43:– किसी के दाँत को ऐसा मारा कि दाँत काला होगया और मारने वाले के दाँत काले या पीले या सुर्ख़ या सब्ज़ हैं तो जिस पर जनायत की गई है उसको इख़्तियार है कि चाहे क़िसास

लेले और चाहे तो दियत लेले। (शामी स.486 जि.5, क़ाज़ी ख़ाँ बर हाशिया आलमगीरी स.438 जि.3)

मसअ्ला.44:– किसी के दाँत को ऐसा मारा कि दाँत काला होगया फिर दूसरे शख़्स ने यह दांत उखेड़ दिया तो पहले वाले पर पूरी दियत लाज़िम है और दूसरे पर इन्साफ़ के साथ तावान है।(शामी)

मसअ्ला.45:– किसी शख़्स का ऐबदार दांत तोड़ा तो इस में इन्साफ़ के साथ तावान है(शामी स.486 जि.5)

मसअ्ला.46:– अगर किसी के दाँत पर मारा और दाँत गिर गया तो क़िसास लेने में ज़ख़्म के मुन्दमिल (भर जाने, अच्छा होने) होने का इन्तिज़ार किया जायेगा लेकिन एक साल तक इन्तिज़ार नहीं होगा। (शामी स.487 जि.5 आलमगीरी स.11 जि.6)

मसअ्ला.47:– अगर किसी ने बच्चे के दाँत उखेड़ दिये तो एक साल तक इन्तिज़ार किया जायेगा और चाहिए कि जनायत करने वाले से ज़ामिन ले लें फिर अगर उखड़े दाँत की जगह से दूसरा दाँत उग आये तो कुछ नहीं और अगर दाँत नहीं उगा था और एक साल पूरा होने से पहले बच्चा मर गया तो भी कुछ नहीं है। (शामी स.487 जि.5 आलमगीरी स.11 जि.6)

मसअ्ला.48:– किसी ने किसी के दाँत पर ऐसा मारा कि दाँत हिल गया तो एक साल तक इन्तिज़ार किया जायेगा आम अज़ीं कि जिसको मारा है वह बालिग़ हो या ना'बालिग़ एक साल तक अगर दाँत न गिरा तो मारने वाले पर कुछ नहीं और अगर साल के अन्दर गिर गया और क़स्दन मारा था तो क़िसास वाजिब है और अगर ख़ताअ़न मारा है तो दियत वाजिब है।(आलमगीरी स.11 जि.6)

मसअ्ला.49:– दाँत हिलने की सूरत में क़ाज़ी ने एक साल की मोहलत दी थी और साल पूरा होने से पहले मज़रूब (जिसको मारा) कहता है कि उसी ज़र्ब की वजह से मेरा दाँत गिर गया मगर ज़ारिब कहता है कि किसी दूसरे के मारने से उसका दाँत गिरा है तो मज़रूब का क़ौल मोअ्तबर है और अगर साल पूरा होने के बाद मज़रूब ने यह दअ्वा किया तो ज़ारिब (मारने वाला) का क़ौल मोअ्तबर होगा। (आलमगीरी स.12 जि.6 बहरुर्राइक़ स.304 जि.8)

मसअ्ला.50:– किसी के हाथ को दाँतों से काटा उसने अपना हाथ खींच लिया उसके दाँत उखड़ गये तो दाँतों का तावान नहीं है।(क़ाज़ी ख़ाँ अलल्हिन्दिया स.437 जि.3, बज़ाज़िया अलल्हिन्दिया स.395 जि.6)

मसअ्ला.51:– किसी शख़्स के कपड़े को दांतों से पकड़ लिया और उसने अपना कपड़ा खींचा और कपड़ा फटगया तो दांतों से पकड़ने वाला निस्फ़ तावान देगा और अगर कपड़ा दाँतों से पकड़ कर खींचा कि फट गया तो कपड़े का कुल तावान देगा। (क़ाज़ी ख़ाँ अलल्हिन्दिया स.437 जि.3)

मसअ्ला.52:– किसी ने किसी का दाँत उखेड़ दिया उसके बाद निस्फ़ दाँत उग आया तो क़िसास नहीं है बल्कि निस्फ़ दियत है और अगर पीला उगा या टेढ़ा उगा तो इन्साफ़ के साथ तावान लिया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.515 जि.5 बहरुर्राइक़ स.305 जि.8)

मसअ्ला.53:– अगर किसी ने किसी के 32 दाँत तोड़दिये तो उस पर $\frac{3}{5}$ दियत लाज़िम होगी (शामी)

मसअ्ला.54:– अगर किसी ने किसी का दांत उखेड़ दिया उसके बाद उसका पूरा दाँत सहीह हालत में दोबारा निकल आया तो जानी पर क़िसास व दियत नहीं है मगर इलाज व मुआलजा का खर्चा इससे वसूल किया जायेगा। (बहरुर्राइक़ स. 305 जि.8, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.515 जि.5)

मसअ्ला.55:– अगर किसी ने किसी का कोई दांत उखेड़ दिया और उस वक़्त उखेड़ने वाले का वह दांत नहीं था मगर जनायत के बाद निकल आया तो क़िसास नहीं है दियत है ख़्वाह जनायत के वक़्त जानी का यह दांत निकला ही न हो या निकला हो मगर उखड़ गया हो। (बहरुर्राइक़ स.305 जि.8)

मसअ्ला.56:– मरीज़ ने डाक्टर से दांत उखेड़ने को कहा उसने एक दांत उखेड़ दिया मगर मरीज़ कहता है कि मैंने दूसरे दांत को उखेड़ने के लिये कहा था तो मरीज़ का क़ौल यमीन के साथ मान लिया जायेगा और मरीज़ के क़सम खाने के बाद डाक्टर पर दांत की दियत वाजिब होगी।

मसअ्ला.57:– किसी ने किसी का दाँत क़स्दन उखेड़ दिया और जानी के दांत काले या पीले या सुर्ख़ या सब्ज़ हैं तो जिसका दांत क़स्दन उखेड़ा गया है उसको इख़्तियार है कि चाहे क़िसास ले

और चाहे दियत लेले।(बहरुर्राइक स.305 जि.8 आलमगीरी स 12 जि 6)

मसअ्ला.58:– किसी बच्चे ने बच्चे का दांत उखेड़ दिया तो जिसका दांत उखेडा गया है उसके बालिग होने तक इन्तिज़ार किया जायेगा बुलूग़ के बाद अगर सहीह दाँत निकल आया तो कुछ नहीं और अगर नहीं निकला या ऐबदार निकला तो दियत लाज़िम है। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.516 जि.5)

मसअ्ला.59:– किसी ने किसी के दाँत पर ऐसी ज़र्ब लगाई कि दाँत काला या सुर्ख़ या सब्ज़ होगया या बाज़ हिस्सा टूट गया और बक़िया काला या सुर्ख़ या सब्ज़ होगया तो क़िसास नहीं है दाँत की पूरी दियत वाजिब है। (बहरुर्राइक स.304 जि.8, तहतावी स 269 जि.4)

उंगलियाँ

मसअ्ला.60:– उंगलिया अगर जोड़ पर से काटी जायें तो उनमें क़िसास लिया जायेगा और अगर जोड़ पर से न काटी जायें तो क़िसास नहीं है। (आलमगीरी स.12 जि.6, क़ाज़ीख़ाँ अललहिन्दिया स.438 जि 3)

मसअ्ला.61:– हाथ की उंगली के बदले में पैर की उंगली और पैर की उंगली के बदले में हाथ की उंगली नहीं काटी जायेगी। (आलमगीरी स.12 जि.6)

मसअ्ला.62:– दाहिने हाथ की उंगली के बदले में बायें हाथ की और बायें हाथ की उंगली के बदले में दायें हाथ की उंगली नहीं काटी जायेगी(आलमगीरी स.12 जि.6, बजाज़िया अलल्हिन्दिया स.393 जि.6)

मसअ्ला.63:– नाक़िस उंगलियों वाले हाथ के बदले में सहीह हाथ नहीं काटा जायेगा(आलमगीरी स.12)

मसअ्ला.64:– किसी ने छटी उंगली को काट दिया और काटने वाले के हाथ में भी छटी उंगली है तो भी क़िसास नहीं लिया जायेगा। (आलमगीरी स.12 जि.6, बहरुर्राइक स.306 जि.8)

मसअ्ला.65:– अगर ऐसी हथेली काट दी जिस की गिरफ़्त में ख़ारिज ज़ाइद उंगली थी तो क़िसास नहीं है और अगर गिरफ़्त में उंगली ख़ारिज नहीं थी तो क़िसास लिया जायेगा[illegible]

मसअ्ला.66:– अगर कोई शख़्स किसी के हाथ की उंगली काट ले जिससे उसकी हथेली शल हो जाये या जोड़ से उंगली का एक पोरा काट ले जिससे बक़िया उंगली या हथेली शल होजाये तो उंगली का क़िसास नहीं है हाथ या शल उंगली की दियत है। (बदाइअ् सनाइअ् 306 जि.7)

हाथ के मसाइल

मसअ्ला.67:– अगर किसी का ऐसा ज़ख़्मी हाथ काटा गया जिसका ज़ख़्म गिरफ़्त में हारिज न था तो क़िसास लिया जायेगा और अगर ज़ख़्म गिरफ़्त में हारिज था तो इन्साफ़ के साथ तावान लिया जायेगा। (आलमगीरी स.12 जि.6, शामी स.490 जि.5)

मसअ्ला.68:– अगर काले नाख़ून वाला हाथ काटा तो उसका क़िसास लिया जायेगा(आलमगीरी स.12 जि.6)

मसअ्ला.69:– अगर किसी का सहीह हाथ काट दिया और काटने वाले का हाथ शल (बेहिस व हरकत) या नाक़िस है तो मक़तूउलयद (यानी जिसका हाथ कटा है) को इख़्तियार है चाहे तो नाक़िस हाथ काट दे या चाहे तो पूरी दियत लेले यह इख़्तियार उस सूरत में है कि नाक़िस हाथ कारआमद हो वरना दियत पर इक्तिफ़ा किया जायेगा। (आलमगीरी स.12 जि.6, दुर्रेमुख़्तार शामी स.489 जि.5)

मसअ्ला.70:– ज़ैद ने बक्र का हाथ काटा और ज़ैद का हाथ शल या नाक़िस था और बक्र ने अभी इख़्तियार से काम नहीं लिया था कि किसी शख़्स ने ज़ैद का नाक़िस हाथ ज़ुल्मन काट दिया या किसी आफ़त से ज़ाइअ होगया तो बक्र का हक़ बातिल होजायेगा और अगर ज़ैद का नाक़िस हाथ क़िसास या चोरी के जुर्म में काट दिया गया तो बक्र दियत का हक़दार है। (आलमगीरी स.12 जि.6)

मसअ्ला.71:– अगर किसी ने किसी की उंगली या हाथ का कुछ हिस्सा काट दिया फिर दूसरे शख़्स ने बाक़ी हाथ काट दिया और ज़ख़्मी मर गया तो जान का क़िसास दूसरे शख़्स पर है पहले पर नहीं पहले की उंगली या हाथ काटा जायेगा। (आलमगीरी स.12 जि.6)

मसअ्ला.72:– किसी का हाथ क़स्दन काटा फिर काटने वाले का हाथ आकिला (एक क़िस्म की बीमारी जो मुतास्सिरा हिस्से को खाती और गलाती है) की वजह से या ज़ुलमन काट दिया गया तो क़िसास और

दियत दोनों बातिल होजायेंगे और अगर काटने वाले का हाथ किसी दूसरे क़िसास या चोरी की सज़ा में काटा गया तो पहले मक़्तूउलयद को दियत देगा। (क़ाज़ी ख़ाँ स.436 जि.3 अलहिन्दिया)

मसअ्ला.73:– किसी शख़्स की दो उंगलियाँ काट दीं और काटने वाले की सिर्फ़ एक उंगली है तो यह एक उंगली काट दी जायेगी और दूसरी उंगली की दियत वाजिब होगी। (आलमगीरी स.13 जि.6)

मसअ्ला.74:– किसी शख़्स का हाथ पहुँचे से काट दिया और क़ातेअ्(काटने वाला)से इसका क़िसास ले लिया गया और ज़ख़्म भी अच्छा होगया फिर उनमें से किसी ने दूसरे का पहुँचे से कटा हुआ हाथ कोहनी से काट दिया तो क़िसास नहीं लिया जायेगा। (आलमगीरी स.12 जि.6)

मसअ्ला.75:– किसी शख़्स ने किसी के दाहिने हाथ की उंगली जोड़ से काटी फिर उसी क़ातेअ् ने किसी दूसरे शख़्स का दाहिना हाथ काट दिया या पहले किसी का दाहिना हाथ काटा फिर दूसरे के दाहिने हाथ की उंगली काट दी इसके बाद दोनों मक़्तूअ् (हाथ व उंगली कटे हुए) आये और उन्होंने दअ्वा किया तो क़ाज़ी पहले क़ातेअ् की उंगली काटेगा इस के बाद मक़्तूउलयद को इख़्तियार है कि चाहे तो मा'बक़िया हाथ को काटदे और चाहे तो दियत लेले और अगर मक़्तूउलयद पहले आया और इसकी वजह से क़ातेअ् का हाथ काट दिया गया फिर उंगली कटा आया तो इस के लिये दियत है। (आलमगीरी स.13 जि.6, मब्सूत स.143 जि.6)

मसअ्ला.76:– अगर किसी ने किसी की उंगली का नाखुन वाला पोरा काट दिया फिर दूसरे शख़्स की उसी उंगली को जोड़ से काट दिया और तीसरे शख़्स की उसी उंगली को जड़ से काट दिया और तीनों उंगलियों के लिये क़ाज़ी के पास हाज़िर हुए और अपना हक़ तलब किया तो क़ाज़ी पहले पोरे वाले के हक़ में क़ातेअ् का पहला पोरा यानी नाखुन वाला काट देगा फिर दरम्यान वाले को इख़्तियार देगा कि चाहे तो दरम्यान से क़ातेअ् की उंगली काटदे और पहले पोरे की दियत न ले और चाहे तो उंगली की दियत में से $\frac{2}{3}$ दो तिहाई लेले फिर जब दरम्यान वाले ने उंगली काट दी तो तीसरे को यानी जिसकी उंगली जड़ से काटी गई थी उसको इख़्तियार है कि चाहे तो क़ातेअ् की उंगली जड़ से काट दे और दियत कुछ न ले और चाहे तो पूरी उंगली की दियत क़ातेअ् के माल से लेले और तीन में से क़ाज़ी के पास एक आया और दो ग़ाइब और जो आया वह पहले पोरे वाला है तो इस के हक़ में क़ातेअ् की उंगली का पहला पोरा काटा जायेगा। पोरा काटने के बाद अगर दोनों ग़ाइबैन भी आगये तो उनको मज़कूरा बाला इख़्तियार होगा। और अगर पहले वह आया जिसकी पूरी उंगली काटी थी दूसरे दोनों नहीं आये और क़ाज़ी ने क़ातेअ् की पूरी उंगली काट दी फिर दूसरे दोनों आगये तो उन के लिये दियत है। (आलमगीरी स.13 जि.6)

मसअ्ला.77:– अगर किसी का पहुँचा काट दिया फिर उसी क़ातेअ् ने दूसरे शख़्स का वही हाथ कोहनी से काट दिया फिर दोनों मक़्तूअ् क़ाज़ी के पास आये तो क़ाज़ी पहुँचे वाले के हक़ में क़ातेअ् का पहुँचा काट देगा फिर कोहनी वाले को इख़्तियार देगा कि चाहे तो बाक़ी हाथ कोहनी से काट दे और चाहे तो दियत लेले और अगर दोनों मक़्तूओं में से एक हाज़िर हुआ और दूसरा ग़ाइब तो हाज़िर के हक़ में क़िसास का हुक्म देगा। (आलमगीरी स.13 जि.6, मब्सूत स.145 जि.26)

मसअ्ला.78:– किसी ने किसी के हाथ की उंगली काट दी, फिर उंगली कटे ने क़ातेअ् का हाथ जोड़ से काट दिया तो मक़्तूउलयद को इख़्तियार है कि चाहे तो इस नाक़िस हाथ ही को काट दे और चाहे तो दियत लेले और उंगली का हक़ बातिल है। (आलमगीरी स.130 जि.6)

मसअ्ला.79:– (अ)किसी शख़्स ने दो आदमियों के दाहिने हाथ क़स्दन काट दिये फिर एक ने ब'हुक्मे क़ाज़ी क़िसास ले लिया तो दूसरे को दियत मिलेगी और अगर दोनों एक साथ क़ाज़ी के पास आये तो दोनों के लिये क़िसास में क़ातेअ् का दाहिना हाथ काट देगा और हर एक को हाथ की निस्फ़ दियत भी मिलेगी। (क़ाज़ी ख़ाँ स.436 जि.3, दुर्रेमुख़्तार रद्दुल मुहतार स.491 जि.5)

मसअ्ला.80:– (ब)किसी शख़्स ने दो अफ़राद के सीधे हाथ क़स्दन काट दिये और क़ाज़ी ने दोनों

के क़िसास में क़ातेअ़ का हाथ काटने और पाँच हज़ार दिरहम हाथ की दियत देने का हुक्म दिया। दोनों ने पाँच हज़ार दिरहम पर क़ब्ज़ा कर लिया फिर एक ने मुआफ़ कर दिया तो जिसने मुआफ़ नहीं किया है उसको निस्फ़ दियते यद यानी ढाई हज़ार दिरहम मिलेंगे।(क़ाज़ी ख़ाँ स.436 जि.3 शामी स.491 जि.5)

मसअ्ला.81:– किसी ने दो आदमियों के दाहिने हाथ क़स्दन काट दिये। क़ाज़ी ने दोनों के हक़ में क़िसास और दियत का हुक्म दिया। दियत पर क़ब्ज़े से पहले एक ने मुआफ़ कर दिया तो दूसरे को सिर्फ़ क़िसास का हक़ है दियत मुआफ़ होजायेगी।(दुर्रेमुख़्तार व शामी स.491 जि.5 आलमगीरी स.14 जि.6)

मसअ्ला.82:– किसी का नाखुन वाला पोरा क़स्दन काट दिया वह अच्छा होगया और क़िसास नहीं लिया गया था कि उसी उंगली का और एक पोरा काट दिया तो क़िसास में नाखुन वाला पोरा काट दिया जायेगा और दूसरे पोरे की दियत मिलेगी और अगर पहला ज़ख़्म अच्छा नहीं हुआ था कि दूसरा पोरा काट दिया तो दोनों पोरे एक साथ काटकर क़िसास लिया जायेगा। (आलमगीरी स.14 जि.6)

मसअ्ला.83:– किसी का नाखुन वाला पोरा क़स्दन काट दिया और ज़ख़्म अच्छा होगया और इस का क़िसास भी ले लिया गया फिर उसी क़ातेअ़ (काटने वाले) ने उसी उंगली का दूसरा पोरा काट दिया और ज़ख़्म अच्छा होगया तो क़िसास भी लिया जायेगा। यानी क़ातेअ़ का दूसरा पोरा पूरा काट दिया जायेगा। (आलमगीरी स.14 जि.6)

मसअ्ला.84:– किसी शख़्स का निस्फ़ पोरा क़स्दन टुकड़े करके काट दिया और ज़ख़्म अच्छा होगया फिर बक़ाया पोरा जोड़ से काट दिया तो इस सूरत में क़िसास नहीं है और अगर दरम्यान में ज़ख़्म अच्छा नहीं हुआ था तो जोड़ से पोरा काटकर क़िसास लिया जायेगा। (आलमगीरी स.14 जि.6)

मसअ्ला.85:– क़स्दन किसी की उंगलियाँ काट दीं फिर ज़ख़्म अच्छा होने से पहले जोड़ से पहुँचा काट दिया तो क़ातेअ़ का पहुँचा जोड़ से काटकर क़िसास लिया जायेगा उंगलियाँ नहीं काटी जायेंगी और अगर दरम्यान में ज़ख़्म अच्छा होगया था तो उंगलियों में क़िसास लिया जायेगा और पहुँचे का इन्साफ़ के साथ तावान लिया जायेगा। (आलमगीरी स.14 जि.6)

मसअ्ला.86:– किसी शख़्स की उंगली का नाखुन वाला पोरा क़स्दन काट दिया फिर ज़ख़्म अच्छा होने से पहले दूसरे पोरे का निस्फ़ काट दिया तो क़िसास वाजिब नहीं है और अगर दरम्यान में ज़ख़्म अच्छा होगया था तो पहले पोरे का क़िसास लिया जायेगा और बाक़ी की दियत लीजायेगी।(आलमगीरी स.14)

मसअ्ला.87:– अगर किसी की उंगली क़स्दन काट दी और उसकी वजह से उसकी हथेली शल होगई तो उंगली का क़िसास नहीं है हाथ की दियत ली जायेगी। (आलमगीरी स.14 जि.6)

मसअ्ला.88:– किसी की उंगली क़स्दन काटी और छुरी ने फिसल कर दूसरी उंगुली को भी काट दिया तो पहली का क़िसास लिया जायेगा और दूसरी की दियत ली जायेगी। (आलमगीरी स.14 जि.6)

मसअ्ला.89:– चन्द आदमियों ने एक ही छुरी को पकड़ कर किसी शख़्स का कोई उ़ज़ू क़स्दन काट दिया तो क़िसास नहीं लिया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.491 जि.5)

मसअ्ला.90:– औ़रत और मर्द अगर एक दूसरे के अअ़ज़ा काट दें तो उनमें क़िसास नहीं है इस त़रह अगर गुलाम और आज़ाद एक दूसरे का उ़ज़ू का काटदें या दो गुलाम एक दूसरे का कोई उ़ज़ू काटें तो क़िसास नहीं है चूंकि उनके अअ़ज़ा में मुमासलत नहीं है।(दुर्रेमुख़्तार व शामी स.488 जि. 5)

मसाइले मुतफ़र्रिक़ा

मसअ्ला.91:– ज़कर (मर्द के पेशाब का उ़ज़ू) को अगर जड़ से काट दिया या सिर्फ़ पूरी सुपारी को काट दिया तो क़िसास लिया जायेगा यानी क़ातेअ़ का ज़कर जड़ से काट दिया जायेगा और सुपारी की सूरत में सुपारी काटी जायेगी और दरम्यान से काटे जाने की सूरत में क़िसास नहीं है चूंकि इस सूरत में मुमासलत (उसी की त़रह काटना) मुम्किन नहीं। (शामी व दुर्रेमुख़्तार स.489 जि.5)

मसअ्ला.92:– ख़स्सी (जिसके खुसिये निकाल दिये गये हों) या इन्नीन (ना'मर्द) का ज़कर काट दिया तो इसमें इन्साफ़ के साथ तावान लिया जायेगा। (शामी व दुर्रेमुख़्तार स.489 जि.5)

मसअ्ला.93:– बच्चे का ज़कर काट दिया गया अगर इन्तिशार (जिमा या हम्बिस्तरी के वक़्त जो हालत होती है। अलीमुल कादरी) होता था तो क़स्दन काटने में क़िसास और ख़ताअ्न काटने में दियत वाजिब होगी और अगर इन्तिशार नहीं होता था तो इन्साफ़ के साथ तावान लिया जायेगा। (शामी व दुर्रेमुख़्तार स.489 जि.5)

मसअ्ला.94:– अगर औरत ने किसी का ज़कर काट दिया तो इस में क़िसास नहीं है। (शामी स.489 जि.5)

मसअ्ला.95:– अगर किसी ने किसी का ख़ुसिया पकड़ कर मसल दिया जिस से वह नामर्द होगया तो दियत लाज़िम होगी। (बज़ाज़िया अलल्हिन्दिया स.394 जि.06)

फ़स्लुन फ़िलफ़ेअ्लैन
एक ही शख़्स में क़त्ल और क़तअ् उज़ू का इज्तिमाअ्

मसअ्ला.96:– किसी शख़्स को उज़ू काट कर क़त्ल कर दिया जाये तो इस में अक़्ली वुजूह सोलह निकलेंगी मसलन दोनों फ़ेअ्ल यानी क़त्ल और क़तअ् अमदन होंगे या ख़ताअ्न या क़त्ल ख़ताअ्न होगा और क़तअ् अमदन या क़त्ल अमदन होगा और क़तअ् ख़ताअ्न तो यह चार सूरतें हुई। फिर हर एक सूरत में दोनों फ़ेअ्लों के दरम्यान में सेहत वाक़ेअ् हुई या नहीं तो यह आठ सूरतें होगईं। फिर यह दोनों फ़ेअ्ल एक शख़्स से सादिर होंगे या दो अश्ख़ास से इस तरह कुल सोलह सूरतें बनीं। इन सोलह सूरतों में से आठ सूरतें वह हैं जिन में क़ातेअ् और क़ातिल दो मुख़्तलिफ़ अश्ख़ास हों उनका हुक्म यह कि हर एक के साथ उस के फ़ेअ्ल के ब'मूजिब क़िसास या दियत लीजायेगी। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स494 जि.5)

मसअ्ला.97:– बक़िया आठ सूरतें जिन में फ़ाइल एक शख़्स हो उनका हुक्म यह है कि नम्बर एक क़तअ् और क़त्ल जब दोनों क़स्दन हों और दरम्यान में सेहत वाक़ेअ् होगई हो तो दोनों का क़िसास लिया जायेगा। (शामी स.494 जि.5)

मसअ्ला.98:– क़त्ल व क़तअ् जब दोनों क़स्दन हों और दरम्यान में सेहत वाक़ेअ् न हुई हो तो वली को इख़्तियार है कि चाहे तो पहले उज़ू काटे फिर क़त्ल करे और चाहे तो क़त्ल पर इक्तिफ़ा करे। (एनाया व फ़त्हुलक़दीर स.283 जि.8)

मसअ्ला.99:– क़तअ् और क़त्ल अगर दोनों ख़ताअ्न हों और दरम्यान में सेहत होगई तो दोनों की दियत लीजायेगी। (तबईनुलहक़ाइक़ स.117 जि.6)

मसअ्ला.100:– क़तअ् और क़त्ल अगर दोनों ख़ताअ्न हों और दरम्यान में सेहत वाक़ेअ् न हुई हो तो सिर्फ़ दियते नफ़्स वाजिब होगी। (तबईन स.117 जि.6)

मसअ्ला.101:– अगर क़तअ् क़स्दन हो और क़त्ल ख़ताअ्न और दरम्यान में सेहत वाक़ेअ् होगई हो तो क़तअ् का क़िसास और क़त्ल की दियत लीजायेगी। (तबईनुल'हक़ाइक़ स.117 जि.6)

मसअ्ला.102:– अगर क़तअ् अमदन और क़त्ल ख़ताअ्न हो और दरम्यान में सेहत वाक़ेअ् न हुई हो तो क़तअ् में क़िसास और क़त्ल में दियत ली जायेगी। (तबईन स.117 जि.6)

मसअ्ला.103:– अगर क़तअ् ख़ताअ्न और क़त्ल अमदन हो और दरम्यान में सेहत वाक़ेअ् होगई हो तो क़तअ् की दियत और क़त्ल का क़िसास वाजिब होगा। (तबईन स.117 जि.6)

मसअ्ला.104:– अगर क़तअ् ख़ताअ्न और क़त्ल अमदन हो और दरम्यान में सेहत वाक़ेअ् न हुई हो तो क़तअ् की दियत और क़त्ल का क़िसास वाजिब होगा। (तबईन स.117 जि.6)

मसअ्ला.105:– अगर किसी शख़्स को नव्वे कोड़े एक जगह मारे वह जगह अच्छी होगई हो और मारने के निशानात भी बाक़ी न रहे फिर दस कोड़े दूसरी जगह मारे इस से वह मरगया तो इस सूरत में सिर्फ़ दियते नफ़्स वाजिब है। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.494 जि.5, फ़तह स.284 जि.8)

मसअ्ला.106:– अगर किसी शख़्स को नव्वे कोड़े मारे और उसके ज़ख़्म अच्छे होगये मगर निशानात बाक़ी रहगये फिर दस कोड़े मारे जिन से वह मरगया तो दियते नफ़्स और इन्साफ़ के साथ तावान लिया जायेगा। (तबईनुल'हक़ाइक़ स.118 जि.6)

के क़िसास़ में क़ातेअ़् का हाथ काटने और पाँच हज़ार दिरहम हाथ की दियत देने का हुक्म दिया। दोनों ने पाँच हज़ार दिरहम पर क़ब्ज़ा कर लिया फिर एक ने मुआफ़ कर दिया तो जिसने मुआफ़ नहीं किया है उसको निस्फ़ दियते यद यानी ढाई हज़ार दिरहम मिलेंगे।(क़ाज़ी ख़ाँ स.430 जि.3 शामी स.491 जि.5)

मसअ्ला.81:– किसी ने दो आदमियों के दाहिने हाथ क़स्दन काट दिये। क़ाज़ी ने दोनों के हक़ में क़िसास़ और दियत का हुक्म दिया। दियत पर क़ब्ज़े से पहले एक ने मुआफ़ कर दिया तो दूसरे को सिर्फ़ क़िसास़ का हक़ है दियत मुआफ़ होजायेगी।(दुर्रेमुख़्तार व शामी स.491 जि.5 आलमगीरी स.14 जि.6)

मसअ्ला.82:– किसी का नाखुन वाला पोरा क़स्दन काट दिया वह अच्छा होगया और क़िसास़ नहीं लिया गया था कि उसी उंगली का और एक पोरा काट दिया तो क़िसास़ में नाखुन वाला पोरा काट दिया जायेगा और दूसरे पोरे की दियत मिलेगी और अगर पहला ज़ख़्म अच्छा नहीं हुआ था कि दूसरा पोरा काट दिया तो दोनों पोरे एक साथ काटकर क़िसास़ लिया जायेगा। (आलमगीरी स.14 जि.6)

मसअ्ला.83:– किसी का नाखुन वाला पोरा क़स्दन काट दिया और ज़ख़्म अच्छा होगया और इस का क़िसास़ भी ले लिया गया फिर उसी क़ातेअ़् (काटने वाले) ने उसी उंगली का दूसरा पोरा काट दिया और ज़ख़्म अच्छा होगया तो क़िसास़ भी लिया जायेगा। यानी क़ातेअ़् का दूसरा पोरा पूरा काट दिया जायेगा। (आलमगीरी स.14 जि.6)

मसअ्ला.84:– किसी शख़्स़ का निस्फ़ पोरा क़स्दन टुकड़े करके काट दिया और ज़ख़्म अच्छा होगया फिर बक़ाया पोरा जोड़ से काट दिया तो इस सूरत में क़िसास़ नहीं है और अगर दरम्यान में ज़ख़्म अच्छा नहीं हुआ था तो जोड़ से पोरा काटकर क़िसास़ लिया जायेगा। (आलमगीरी स.14 जि.6)

मसअ्ला.85:– क़स्दन किसी की उंगलियाँ काट दीं फिर ज़ख़्म अच्छा होने से पहले जोड़ से पहुँचा काट दिया तो क़ातेअ़् का पहुँचा जोड़ से काटकर क़िसास़ लिया जायेगा उंगलियाँ नहीं काटी जायेंगी और अगर दरम्यान में ज़ख़्म अच्छा होगया था तो उंगलियों में क़िसास़ लिया जायेगा और पहुँचे का इन्स़ाफ़ के साथ तावान लिया जायेगा। (आलमगीरी स.14 जि.6)

मसअ्ला.86:– किसी शख़्स़ की उंगली का नाखुन वाला पोरा क़स्दन काट दिया फिर ज़ख़्म अच्छा होने से पहले दूसरे पोरे का निस्फ़ काट दिया तो क़िसास़ वाजिब नहीं है और अगर दरम्यान में ज़ख़्म अच्छा होगया था तो पहले पोरे का क़िसास़ लिया जायेगा और बाक़ी की दियत लीजायेगी।(आलमगीरी स.14)

मसअ्ला.87:– अगर किसी की उंगली क़स्दन काट दी और उसकी वजह से उसकी हथेली शल होगई तो उंगली का क़िसास़ नहीं है हाथ की दियत ली जायेगी। (आलमगीरी स.14 जि.6)

मसअ्ला.88:– किसी की उंगली क़स्दन काटी और छुरी ने फिसल कर दूसरी उंगुली को भी काट दिया तो पहली का क़िसास़ लिया जायेगा और दूसरी की दियत ली जायेगी। (आलमगीरी स.14 जि.6)

मसअ्ला.89:– चन्द आदमियों ने एक ही छुरी को पकड़ कर किसी शख़्स़ का कोई उ़ज़ू क़स्दन काट दिया तो क़िसास़ नहीं लिया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.491 जि.5)

मसअ्ला.90:– औरत और मर्द अगर एक दूसरे के अअ्ज़ा काट दें तो उनमें क़िसास़ नहीं है इस तरह अगर गुलाम और आज़ाद एक दूसरे का उ़ज़ू का काटदें या दो गुलाम एक दूसरे का कोई उ़ज़ू काटें तो क़िसास़ नहीं है चूंकि उनके अअ्ज़ा में मुमास़लत नहीं है।(दुर्रेमुख़्तार व शामी स.488 जि. 5)

मसाइले मुतफ़र्रिक़ा

मसअ्ला.91:– ज़कर (मर्द के पेशाब का उ़ज़ू) को अगर जड़ से काट दिया या सिर्फ़ पूरी सुपारी को काट दिया तो क़िसास़ लिया जायेगा यानी क़ातेअ़् का ज़कर जड़ से काट दिया जायेगा और सुपारी की सूरत में सुपारी काटी जायेगी और दरम्यान से काटे जाने की सूरत में क़िसास़ नहीं है चूंकि इस सूरत में मुमास़लत (उसी की तरह काटना) मुम्किन नहीं। (शामी व दुर्रेमुख़्तार स.489 जि.5)

मसअ्ला.92:– ख़स़्सी (जिसके खुस़िये निकाल दिये गये हों) या इ़न्नीन (ना'मर्द) का ज़कर काट दिया तो इसमें इन्स़ाफ़ के साथ तावान लिया जायेगा। (शामी व दुर्रेमुख़्तार स.489 जि.5)

मसअ्ला.93:– बच्चे का ज़कर काट दिया गया अगर इन्तिशार (जिमा या हम्बिस्तरी के वक़्त जो हालत होती है।(अशीकुल कादरी)) होता था तो क़स्दन काटने में क़िसास़ और ख़ताअ्न काटने में दियत वाजिब होगी और अगर इन्तिशार नहीं होता था तो इन्साफ़ के साथ तावान लिया जायेगा।(शामी व दुर्रेमुख़्तार, स.489 जि.5)

मसअ्ला.94:– अगर औरत ने किसी का ज़कर काट दिया तो इस में क़िसास़ नहीं है।(शामी स.489 जि.5)

मसअ्ला.95:– अगर किसी ने किसी का ख़ुसिया पकड़ कर मसल दिया जिस से वह नामर्द होगया तो दियत लाज़िम होगी। (बजाजिया अलल्हिन्दिया स.394 जि.06)

फ़स्लुन फ़िलफ़ेअ्लैन
एक ही शख़्स में क़त्ल और क़तअ् उ़ज़ू का इज्तिमाअ्

मसअ्ला.96:– किसी शख़्स को उ़ज़ू काट कर क़त्ल कर दिया जाये तो इस में अ़क़्ली वुजूह सोलह निकलेंगी मस्लन दोनों फ़ेअ्ल यानी क़त्ल और क़तअ् अ़मदन होंगे या ख़ताअ्न या क़त्ल ख़ताअ्न होगा और क़तअ् अ़मदन या क़त्ल अ़मदन होगा और क़तअ् ख़ताअ्न तो यह चार सूरतें हुईं। फिर हर एक सूरत में दोनों फ़ेअ्लों के दरम्यान में सेहत वाक़ेअ् हुई या नहीं तो यह आठ सूरतें होगईं। फिर यह दोनों फ़ेअ्ल एक शख़्स से सादिर होंगे या दो अश्ख़ास से इस तरह कुल सोलह सूरतें बनीं। इन सोलह सूरतों में से आठ सूरतें वह हैं जिन में क़ातेअ् और क़ातिल दो मुख़्तलिफ़ अश्ख़ास हों उनका हुक्म यह कि हर एक के साथ उस के फ़ेअ्ल के ब'मूजिब क़िसास़ या दियत लीजायेगी। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स494 जि.5)

मसअ्ला.97:– बक़िया आठ सूरतें जिन में फ़ाइल एक शख़्स हो उनका हुक्म यह है कि नम्बर एक क़तअ् और क़त्ल जब दोनों क़स्दन हों और दरम्यान में सेहत वाक़ेअ् होगई हो तो दोनों का क़िसास़ लिया जायेगा। (शामी स.494 जि.5)

मसअ्ला.98:– क़त्ल व क़तअ् जब दोनों क़स्दन हों और दरम्यान में सेहत वाक़ेअ् न हुई हो तो वली को इख़्तियार है कि चाहे तो पहले उ़ज़ू काटे फिर क़त्ल करे और चाहे तो क़त्ल पर इक्तिफ़ा करे। (एनाया व फ़त्हुलक़दीर स.283 जि.8)

मसअ्ला.99:– क़तअ् और क़त्ल अगर दोनों ख़ताअ्न हों और दरम्यान में सेहत होगई तो दोनों की दियत लीजायेगी। (तबईनुलहक़ाइक़ स.117 जि.6)

मसअ्ला.100:– क़तअ् और क़त्ल अगर दोनों ख़ताअ्न हों और दरम्यान में सेहत वाक़ेअ् न हुई हो तो सिर्फ़ दियते नफ़्स वाजिब होगी। (तबईन स.117 जि.6)

मसअ्ला.101:– अगर क़तअ् क़स्दन हो और क़त्ल ख़ताअ्न और दरम्यान में सेहत वाक़ेअ् होगई हो तो क़तअ् का क़िसास और क़त्ल की दियत लीजायेगी। (तबईनुल'हक़ाइक़ स.117 जि.6)

मसअ्ला.102:– अगर क़तअ् अ़मदन और क़त्ल ख़ताअ्न हो और दरम्यान में सेहत वाक़ेअ् न हुई हो तो क़तअ् में क़िसास़ और क़त्ल में दियत ली जायेगी। (तबईन स.117 जि.6)

मसअ्ला.103:– अगर क़तअ् ख़ताअ्न और क़त्ल अ़मदन हो और दरम्यान में सेहत वाक़ेअ् होगई हो तो क़तअ् की दियत और क़त्ल का क़िसास़ वाजिब होगा। (तबईन स.117 जि.6)

मसअ्ला.104:– अगर क़तअ् ख़ताअ्न और क़त्ल अ़मदन हो और दरम्यान में सेहत वाक़ेअ् न हुई हो तो क़तअ् की दियत और क़त्ल का क़िसास़ वाजिब होगा। (तबईन स.117 जि.6)

मसअ्ला.105:– अगर किसी शख़्स को नव्वे कोड़े एक जगह मारे वह जगह अच्छी होगई हो और मारने के निशानात भी बाक़ी न रहे फिर दस कोड़े दूसरी जगह मारे इस से वह मरगया तो इस सूरत में सिर्फ़ दियते नफ़्स वाजिब है। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.494 जि.5, फ़तह स.284 जि.8)

मसअ्ला.106:– अगर किसी शख़्स को नव्वे कोड़े मारे और उसके ज़ख़्म अच्छे होगये मगर निशानात बाक़ी रहगये फिर दस कोड़े मारे जिन से वह मरगया तो दियते नफ़्स और इन्साफ़ के साथ तावान लिया जायेगा। (तबईनुल'हक़ाइक़ स.118 जि.6)

मसअ्ला.107:– अगर किसी ने किसी का उ़ज़ू काटा या उसको ज़ख़्मी कर दिया और ज़ख़्मी ने जनायत करने वाले को मुआफ़ कर दिया और इस के बाद वह ज़ख़्मी इस ज़ख़्म या क़तअ् उ़ज़ू की वजह से मरगया तो इस में चार सूरतें बनेंगी।

(1)यह जनायत अगर क़स्दन थी और मुआफ़ करने वाले ने कहा कि मैंने क़तअ् उ़ज़ू (जिस्म का हिस्सा काटना) और जनायत और इससे पैदा होने वाले अस्रात को मुआफ़ कर दिया तो आम मुआफ़ी हो जायेगी और जानी (काटने वाला) के ज़िम्मे कुछ वाजिब न होगा। (तहतावी स.273 जि.4)

(2)और अगर मुआफ़ करने वाले ने कहा कि मैंने क़तअ् उ़ज़ू और जनायत को मुआफ़ कर दिया और इस से पैदा होने वाले अस्रात का कुछ ज़िक्र नहीं किया तो इस्तिह़सानन दियत वाजिब होगी।

(3)और अगर क़तअ् उ़ज़ू या ज़ख़्म ख़ताअ्न था और मरने वाले ने यह कहा कि मैंने क़तअ् अ़ज़ू से मुआफ़ करदिया और इससे पैदा होने वाले अस्रात का ज़िक्र नहीं किया तो सरायत की मुआफ़ी नहीं होगी और दियते नफ़्स वाजिब होगी।

(4)और अगर क़तअ् उ़ज़ू या ज़ख़्म ख़ताअ्न था और मरने वाले ने कहा कि मैंने क़तअ् उ़ज़ू और इस से पैदा होने वाले अस्रात को भी मुआफ़ कर दिया तो बिल्कुल मुआफ़ी होजायेगी और जानी पर कुछ वाजिब न होगा। (आलमगीरी स.26 जि.6, फ़त्हुलक़दीर व एनाया स.285 जि.8)

मसअ्ला.108:– अगर माँ ने अपने बच्चे को तादीब (अदब सिखाने) के लिये मारा और बच्चा मरगया तो माँ ज़ामिन है। (शामी स.499 जि.5, तहतावी स.275 जि.4)

मुतफ़र्रिक़ात

मसअ्ला.109:– किसी ने किसी शख़्स के अ़मदन तीर मारा और वह तीर उस शख़्स के जिस्म के पार होकर किसी दूसरे शख़्स को लग गया और दोनों मर गये तो पहले का क़िसास़ लिया जायेगा और दूसरे की दियत क़ातिल के आ़क़िला पर वाजिब होगी। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.492 जि.5, तहतावी स.272 जि.4)

मसअ्ला.110:– किसी शख़्स पर सांप गिरा उसने उस को फेंक दिया और वह दूसरे शख़्स पर जा गिरा इस त़रह इस ने भी फेंका और वह तीसरे शख़्स पर जा गिरा और उसको काट लिया और वह मर गया तो अगर सांप ने गिरते ही काट लिया था तो इस आख़िरी फेंकने वाले के आ़क़िला पर दियत है और अगर गिरने के कुछ देर बा़द काटा तो किसी पर कुछ नहीं है(दुर्रेमुख़्तार व शामी स.492 जि.5)

मसअ्ला.111:– किसी ने रास्ते में सांप या बिच्छू डाल दिया और डालने के फ़ौरन बा़द उसने किसी को काट लिया और वह मर गया तो डालने वाले के आ़क़िला पर दियत है और अगर कुछ देर के बा़द या अपनी जगह से हटकर काटा तो किसी पर कुछ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.492 जि.5)

मसअ्ला.112:– किसी शख़्स ने रास्ते में तलवार रखदी और कोई इस पर गिर पड़ा और मरगया तो तलवार भी टूट गयी तो मरने वाले की दियत तलवार रखने वाले पर है और तलवार की क़ीमत मरने वाले के माल से अदा की जायेगी। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.493 जि.5)

मसअ्ला.113:– अ़मदन क़त्ल करने वाले ने ऐसे शख़्स के साथ मिलकर क़त्ल किया जिस पर क़िसास़ नहीं होता मस्लन अजनबी ने बाप के साथ मिलकर बेटे को क़त्ल किया या आ़क़िल ने मजनून के साथ मिलकर या बालिग़ ने ना'बालिग़ के साथ मिलकर क़त्ल किया तो किसी पर क़िसास़ नहीं है।(दुर्रेमुख़्तार व शामी स.493 जि.5, तहतावी अ़लद्दुरर स.272 जि.4)

मसअ्ला.114:– अगर किसी ने अपनी बीवी या बांदी के साथ किसी को ना'जाइज़ हालत में देखा और ललकारने के बा'वजूद नहीं भागा तो इसने उसको क़त्ल कर दिया तो इस पर क़िसास़ भी नहीं और कोई गुनाह भी नहीं है। (दुर्रेमुख़्तार स.493 जि.5, तहतावी अ़लद्दुरर स.272 जि.4)

मसअ्ला.115:– किसी शख़्स ने किसी बच्चे को अपना घोड़ा दिया कि उसको बांध दे और घोड़े ने लात मारदी जिससे बच्चा मरगया तो घोड़ा देने वाले के आ़क़िला पर दियत है उसी त़रह बच्चे को लाठी या कोई अस्लहा दिया और कहा कि इस को पकड़े रहो बच्चा थक गया और वह अस्लहा

की वजह से मख़रजैन की दरम्यानी जगह फटकर एक होगई तो शौहर पर कोई तावान नहीं है और अगर ज़ौजा ना'बालिग़ा से या ऐसी ज़ौजा से जो इस की इस्तिताअ़त नहीं रखती थी या किसी औरत से जबरन वती की और मख़्रजैन एक होगये या मौत वाकेअ़ होगई तो आ़क़िला पर दियत लाज़िम होगी। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.499 जि.5)

मसअ्ला.131:– जर्राह़ ने आँख का आप्रेशन किया और आँख फट गई और जर्राह़ इस फ़न का माहिर न था तो इस पर निस्फ़ दियत लाज़िम है। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.499 जि.5)

मसअ्ला.132:– बच्चा छत से गिर पड़ा और उसका सर फट गया अकस्र जर्राहों ने यह राय दी कि अगर इसका आप्रेशन किया गया तो मर जायेगा और एक ने कहा कि अगर आप्रेशन नहीं किया गया तो मरजायेगा लिहाज़ा मैं आप्रेशन करता हूँ और इसने आप्रेशन कर दिया और दो एक दिन बा़द बच्चा मर गया तो अगर आप्रेशन स़ह़ीह़ त़रीके़ पर हुआ और वली की इजाज़त से हुआ था जर्राह़ ज़ामिन नहीं है और अगर वली की इजाज़त के बिग़ैर था या ग़लत़ त़रीके़ से हुआ था तो ज़ाहिर यह है कि क़िसास़ लिया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.499 जि.5)

मसअ्ला.133:– किसी का नाखुन उखेड़ दिया अगर पहले जैसा दोबारा उग आया तो कुछ नहीं है और अगर न उगा या ऐ़बदार उगा तो इन्साफ़ के साथ तावान लिया जायेगा लेकिन ऐ़बदार उगने का तावान न उगने के तावान से कम होगा। (बजाजिया अलल्हिन्दिया स.393 जि.6)

बाबुश्शहादत अ़लल'क़त्ल

(क़त्ल पर गवाही का बयान)

मसअ्ला.134:– मस्तूरुल'ह़ाल दो आदमियों ने किसी के ख़िलाफ़ क़त्ल की गवाही दी तो उसको क़ैद कर लिया जाये यहाँ तक कि गवाहों के मुतअ़ल्लिक़ मा'लूमात की जाये इसी त़रह़ अगर एक आ़दिल आदमी ने किसी के ख़िलाफ़ क़त्ल की शहादत दी तो इसको चन्द दिन क़ैद में रखा जायेगा अगर मुद्दई दूसरा गवाह पेश करे तो मुक़द्दमा चलेगा वरना रिहा कर दिया जायेगा।(आलमगीरी स.15 जि.6)

मसअ्ला.135:– किसी ने दअ़्वा किया कि फुलाँ शख़्स़ ने मेरे बाप को ख़त़ाअ़न क़त्ल करदिया है और कहता है कि गवाह शहर में हैं और काज़ी से मुत़ालबा करता है कि मुद्दआ'अ़लैहि से ज़मानत लेली जाये तो क़ाज़ी मुद्दआ अ़लैहि से तीन दिन के लिये ज़मानत त़लब करेगा और अगर मुद्दई कहता है कि मेरे गवाह ग़ाइब हैं और गवाहों के ह़ाज़िर होने के वक़्त के लिये ज़मानत का मुत़ालबा करता है तो क़ाज़ी मुद्दई की बात नहीं मानेगा और अगर दअ़्वा करता है कि मेरे बाप को अ़मदन क़त्ल किया गया है ज़मानत का मुत़ालबा करता है तो ज़मानत नहीं लेगा। (आलमगीरी स.16 जि.6)

मसअ्ला.136:– मक़तूल के एक बेटे ने दअ़्वा किया मेरे बाप को अ़मदन ज़ैद ने क़त्ल कर दिया और इस पर गवाह भी पेश कर दिये मगर मक़तूल का दूसरा बेटा ग़ाइब है तो क़ाज़ी शहादत को क़बूल कर लेगा और क़ातिल को क़ैद करदेगा लेकिन अभी क़िसास़ नहीं लिया जायेगा जब दूसरा बेटा ह़ाज़िर होकर दोबारा शहादत पेश करेगा तो क़िसास़ लिया जायेगा। (आलमगीरी स.16 जि.6)

मसअ्ला.137:– और अगर मक़तूल के एक बेटे ने दअ़्वा किया कि मेरे बाप को ज़ैद ने ख़त़ाअ़न क़त्ल कर दिया और गवाह भी पेश कर दिये और दूसरा बेटा ग़ाइब है तो क़ाज़ी ज़ैद को क़ैद कर देगा और जब दूसरा बेटा ह़ाज़िर होगा तो इसको दोबारा शहादत पेश करने की ज़रूरत नहीं है इस की ह़ाज़िरी पर मुक़द्दमा का फ़ैस़ला कर दिया जायेगा। (आलमगीरी स.16 जि.6 दुर्रेमुख़्तार व शामी स.500 जि.5)

मसअ्ला.138:– वुरसा ने दो अशख़ास़ पर अपने बाप के क़त्ले अ़मद का इल्ज़ाम लगाया और गवाह पेश किये मगर एक क़ातिल ग़ाइब है तो ह़ाज़िर के मुक़ाबिले में यह गवाही क़बूल करली जायेगी और उसको क़िसास़ में क़त्ल कर दिया जायेगा फिर जब दूसरा आये और क़त्ल का इन्कार करे तो वुरसा को दोबारा गवाही पेश करना होगी। (आलमगीरी स.16 जि.6)

मसअ्ला.139:– दो गवाहों ने किसी के ख़िलाफ़ गवाही दी कि उसने फुलाँ शख़्स़ को तलवार से

हमे बड़ी मुसर्रत हो रही है कि अल्लाह त'आला और उसके हबीब सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम के हुक्म फ़ज़्ल-ओ-करम से और बुज़ुर्गाने दीन सिलसिला-ए-क़ादिरिया बिलख़ुसूस पिराने पीर दस्तगीर हुज़ूर ग़ौस-ए-आज़म शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रादिअल्लाहु त'आला अन्हू के फ़ैज़ से क़िताब बहार-ए-शरीअत (हिस्सा 11 से 20) हिंदी में पीडीएफ [PDF] में आप की खिदमत में पेश की जा रही है।

ज़माना-ए- क़दीम से अवमुन्नास की इस्लाहे हाल और हिदायते उख़रवी व दुनयवी के लिए हक़ सदाक़त के जाम की फ़राहमी की जाती रही है और ये इलतेज़ाम ख़ालिक़-ए-क़ायनात जल्ला जलालहु ने ब अहसान अपनी मख़लूक़ के लिए फ़रमाया है। अम्बिया व मुर्सलीन के बेहतरीन दौर के बाद उसने यह ख़िदमत अपने मुक़र्रबीन रिज़वानुल्लाह त'आला अलैहिम अजमईन के सुपुर्द की और यह सिलसिला अला हालही जारी व सारि है।

मज़हब-ए-इस्लाम अल्लाह त'आला का पसंदीदा दीन है । ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नही जिसके लिए इस्लाम ने हमे क़ानून न दिया हो ।

आज जिस दौर से हम गुज़र रहे है हमारा मुस्लिम तबका उर्दू की तरफ ध्यान नही दे रहा है और नई नस्ल तो बिल्कुल ही उर्दू से नावाक़िफ़ होती जा रही है । नतीजे के तौर पर दीनी और मज़हबी दिलचस्पियाँ कम हो रही है और हम अपने हाल को ग़ैर मुंज़बित तरीके पे छोड़े रहते है ।

लिहाज़ा ये किताब हिंदी में लिखी गई है और आप सब की आसानी के लिए हम ने इस किताब को पीडीएफ फ़ाइल में आप की ख़िदमत में पेश किया है।
आप सब से हमारी गुज़ारिश है कि अपनी मसरूफ ज़िन्दगी में से रोज़ाना वक़्त निकाल कर बुज़ुर्गो की तस्नीफ़ करदा किताबो को मुताला में रखें , इंशा अल्लाह त'आला दीन और दुनिया दोनो में मक़बूल होंगे।

दुआओं के तलबगार

वसीम अहमद रज़ा खान और साथी

+91-8109613336

ज़ख़्मी कर दिया और वह ज़ख़्मी साहिबे फ़राश रहकर मरगया तो क़ातिल से क़िसास़ लिया जायेगा और क़ाज़ी को गवाहों से यह सवाल करने की ज़रूरत नहीं है कि वह उन ज़ख़्मों की वजह से मरा या किसी और वजह से और अगर गवाहों ने सिर्फ़ यह कहा कि उसने तलवार से ज़ख़्मी किया यहाँ तक कि मजरूह़ मरगया यह भी अ़मदन क़त्ल माना जायेगा बेहतर यह है कि क़ाज़ी गवाहों से सवाल करे कि उसने क़स्दन ऐसा किया है या नहीं ? (आलमगीरी स.16 जि0.6 शामी स.501 जि.5)

मसअ्ला.140:– दो आदमियों ने गवाही दी कि ज़ैद ने फुलाँ शख़्स़ को तलवार से ख़ताअ्न क़त्ल कर दिया तो यह शहादत क़बूल करली जायेगी और आक़िला पर दियत वाजिब होगी और अगर गवाहों ने यह कहा कि हम नहीं जानते कि क़स्दन क़त्ल किया है या ख़ताअ्न तब भी यह गवाही मक़बूल होगी और क़ातिल के माल में से दियत दिलाई जायेगी। (आलमगीरी स.16 जि.6)

मसअ्ला.141:– एक गवाह ने किसी के ख़िलाफ़ गवाही दी कि उसने ख़ताअ्न क़त्ल किया है और दूसरे गवाह ने कहा कि क़ातिल ने इसका इक़रार किया है कि उससे यह फ़ेअ्ल ख़ताअ्न सरज़द हुआ है तो यह गवाही बात़िल है। (आलमगीरी स.16 जि.6)

मसअ्ला.142:– अगर दोनों गवाह ज़मान व मकान में इख़्तिलाफ़ करते हैं तो गवाही बात़िल है मगर जब दोनों जगहें क़रीब क़रीब हैं मस्लन एक गवाह किसी छोटे मकान के एक हिस्से में वुक़ूअ़े क़त्ल की गवाही देता है और दूसरा इसी मकान के दूसरे हिस्से में तो यह गवाही मक़बूल होगी।(आलमगीरी)

मसअ्ला.143:– अगर दो गवाहों में मोज़अ़े ज़ख़्म (ज़ख़्म की जगह) में इख़्तिलाफ़ है तब भी गवाही बात़िल है। (आ़लमगीरी स.16 जि.6)

मसअ्ला.144:– अगर दो गवाहों में आलए क़त्ल में इख़्तिलाफ़ हो एक कहे कि तलवार से क़त्ल किया दूसरा कहे कि पत्थर से क़त्ल किया या एक कहे कि तलवार से क़त्ल किया और दूसरा कहे कि छुरी से क़त्ल किया या एक कहे कि पत्थर से क़त्ल किया और दूसरा कहे कि लाठी से क़त्ल किया तो यह गवाही बात़िल है। (आ़लमगीरी स.16 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.501 जि.5)

मसअ्ला.145:– एक गवाह ने गवाही दी कि क़ातिल ने तलवार से क़त्ल करने का इक़रार किया था और दूसरे गवाह ने कहा कि क़ातिल ने छुरी से क़त्ल करने का इक़रार किया था और मुद्दई कहता है कि क़ातिल ने दोनों बातों का इक़रार किया था लेकिन उसने क़त्ल किया है नेज़ा मारकर तो यह गवाही क़बूल की जायेगी और क़ातिल से क़िसास़ लिया जायेगा। (आ़लमगीरी स16 जि.6)

मसअ्ला.146:– एक गवाह ने गवाही दी कि उसने तलवार या लाठी से क़त्ल किया है और दूसरे गवाह ने कहा कि उसने क़त्ल किया है मगर मैं यह नहीं जानता कि किस चीज़ से क़त्ल किया है तो यह गवाही क़बूल नहीं की जायेगी। (आ़लमगीरी स.16 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.501 जि.5)

मसअ्ला.147:– दो शख़्सों ने गवाही दी कि ज़ैद ने अ़म्र को क़त्ल किया है और हम यह नहीं जानते कि किस चीज़ से क़त्ल किया है तो यह गवाही क़बूल करली जायेगी और क़ातिल के माल से दियत दिलाई जायेगी क़िसास़ नहीं लिया जायेगा। (आलमगीरी स16 जि.6)

मसअ्ला.148:– अगर दो आदमी दो अश्ख़ास़ के मुतअ़ल्लिक़ गवाही दें कि उन्होंने ज़ैद के एक ही हाथ की एक, एक उंगली काटी है और यह न बतायें कि किसने कौनसी उंगली काटी है तो यह शहादत बात़िल है। (आ़लमगीरी स16 जि.6, मब्सूत स.171 जि.26)

मसअ्ला.149:– दो आदमी दो अश्ख़ास़ के मुतअ़ल्लिक़ गवाही देते हैं कि उन दोनों ने एक शख़्स़ को क़त्ल किया है एक ने तलवार से और एक ने लाठी से और गवाह यह नहीं बताते कि किसने लाठी से और किसने तलवार से क़त्ल किया है तो यह गवाही बात़िल है। (आलमगीरी स16 जि.6)

मसअ्ला.150:– दो आदमीयों ने गवाही दी कि ज़ैद ने अ़म्र का हाथ पहुँचे से क़स्दन काटा है और एक तीसरे गवाह ने कहा कि ज़ैद ने अ़म्र का पाँव टख़ने से काटा है फिर तीनों ने यह गवाही दी कि मजरूह़ साहिबे फ़राश रहकर मर गया और मक़तूल का वली यह दअ़्वा करता है कि यह दोनों

फेअ्ल अमदन हुए हैं तो क़ातिल के माल से निस्फ़ दियत दिलाई जायेगी। (आलमगीरी स16 जि.6)
मसअ्ला.151:– दो आदमियों ने किसी के ख़िलाफ़ गवाही दी कि उसने फुलाँ शख़्स का हाथ ... से क़स्दन काटा फिर उसको क़स्दन क़त्ल कर दिया तो मक़तूल के वुरसा को यह हक़ है कि ... हाथ काटकर क़िसास लें और फिर क़त्ल करें हाँ क़ाज़ी के लिये यह मुनासिब है कि वह ... कहे कि सिर्फ़ क़त्ल पर इक्तिफ़ा करो हाथ का क़िसास मत लो। (आलमगीरी स17 जि.6)
मसअ्ला.152:– दो आदमियों ने ज़ैद के ख़िलाफ़ गवाही दी कि उसने अम्र को ख़ताअ्न क़त्ल किया है और क़ाज़ी ने इस पर दियत का फ़ैसला करदिया इसके बाद अम्र जिसके क़त्ल की गवाही दीगई थी ज़िन्दा आगया तो जिन लोगों ने दियत अदा की थी उनको इख़्तियार है कि चाहे तो अम्र के वली को ज़ामिन क़रार दें या गवाहों को, अगर गवाहों को ज़ामिन बनायें और वह तावान दें ... फिर वह गवाह वली से दियत वापस लेलें। (आलमगीरी स17 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.502 जि.5)
मसअ्ला.153:– दो आदमियों ने ज़ैद के ख़िलाफ़ गवाही दी कि उसने अम्र को क़स्दन क़त्ल किया है और ज़ैद को क़िसास में क़त्ल कर दिया गया इसके बाद अम्र ज़िन्दा वापस आगया तो ज़ैद के वुरसा को इख़्तियार है कि अम्र के वली से दियत लें या गवाहों से। (आलमगीरी स17 जि.6)
मसअ्ला.154:– दो आदमियों ने एक शख़्स के ख़िलाफ़ गवाही दी कि उसने क़त्ल ख़ताअ्न या अ़मदन का इक़रार किया है और इस पर फ़ैसला कर दिया गया इसके बाद वह शख़्स ज़िन्दा पाया गया तो गवाहों पर कोई तावान नहीं अलबत्ता दोनों सूरतों में वली–ए–मक़तूल पर तावान डाला जायेगा। (हिन्दिया स.17 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.503 जि.5)
मसअ्ला.155:– दो आदमियों ने गवाही दी कि फुलाँ दो अश्ख़ास ने हमको गवाह बनाया है कि ज़ैद ने अम्र को ख़ताअ्न क़त्ल कर दिया है उन दोनों की गवाही पर दियत का हुक्म देदिया गया इसके बाद अम्र ज़िन्दा पाया गया तो वली पर दियत वापस करना वाजिब है और उन शाहेदैने फ़रअ् (यानी वह गवाह जिन्हें दो गवाहों ने गवाह बनाया था)पर कुछ तावान नहीं है। अगर्चे अस्ल गवाह आकर उनको गवाह बनाने से इन्कार करें और अगर अस्ल गवाह आकर यह इक़रार करें कि हमने जान बूझकर ग़लत बात पर उनको गवाह बनाया था तब भी उन शाहिदीने फ़रअ् पर कुछ तावान नहीं है। ...
मसअ्ला.156:– किसी ने दअ्वा किया कि फुलाँ शख़्स ने मेरे वली का सर फाड़ दिया और उसी से उसकी मौत वाक़ेअ् होगई और दो गवाहों ने ज़ख़्म की गवाही दी और यह कहा कि वह मरने से पहले अच्छा होगया था तो ज़ख़्म के बारे में उनकी शहादत मान ली जायेगी। और सिर्फ़ ज़ख़्म के क़िसास का हुक्म दिया जायेगा। इसी तरह अगर एक गवाह ने कहा कि वही ज़ख़्म मौत का सबब बना था और दूसरे ने कहा कि वह मरने से पहले अच्छा होगया था तब भी सिर्फ़ ज़ख़्म के क़िसास का हुक्म दिया जायेगा। (हिन्दिया स.17 जि.6)
मसअ्ला.157:– किसी मक़तूल ने दो बेटे छोड़े उनमें से एक ने किसी शख़्स के ख़िलाफ़ गवाह पेश किये कि उसने मेरे बाप को अ़मदन क़त्ल किया है और दूसरे बेटे ने गवाह पेश किये कि उसने और दूसरे शख़्स ने मिलकर मेरे बाप को क़स्दन क़त्ल किया है तो इस सूरत में क़िसास नहीं है। ...
मसअ्ला.158:– किसी मक़तूल के दो बेटे हैं उनमें से एक ने गवाह पेश किये कि फुलाँ शख़्स ने मेरे बाप को अ़मदन क़त्ल किया है और दूसरे बेटे ने गवाह पेश किये कि उसके ग़ैर फुलाँ शख़्स ने मेरे बाप को ख़ताअ्न क़त्ल किया है तो किसी से भी क़िसास नहीं लिया जायेगा पहले बेटे के लिये इस के मुद्दआ़'अ़लैहि के माल से 3साल में निस्फ़ दियत ली जायेगी और दूसरे बेटे के लिये मुद्दआ़'अ़लैहि आक़िला से बक़िया निस्फ़ दियत 3 साल में ली जायेगी।(हिन्दिया अज़ ज़्यादत स.17 जि.6)
मसअ्ला.159:– किसी मक़तूल ने दो बेटे और एक मूसा लहू (जिस के लिये वसियत की गई) छोड़े फिर एक बेटे ने दअ्वा किया कि फुलाँ शख़्स ने मेरे बाप को अ़मदन क़त्ल किया है और उस पर गवाह पेश किये और दूसरे बेटे ने इसी क़ातिल या दूसरे शख़्स पर ख़ताअ्न क़त्ल का इल्ज़ाम लगाकर

गवाह पेश किये और मुसा'लहू कत्ले ख़ता के मुद्दई की तस्दीक़ करता है तो इस बेटे और मूसा'लहू के आक़िला पर 3 साल में $\frac{2}{3}$ दियत है और क़त्ले अमद के मुद्दई बेटे के लिये क़ातिल के माल में 3 साल में $\frac{1}{3}$ दियत है और अगर मूसा लहू ने क़त्ले अमद के मुद्दई की तस्दीक़ की तो क़त्ले ख़ता के मुद्दई के लिये एक तिहाई दियत क़ातिल के आक़िला पर 3 बरस में है। और निस्फ़ दियत का तिहाई मूसा'लहू के लिये और निस्फ़ दियत का दो तिहाई क़त्ले अमद के मुद्दई के लिये क़ातिल के माल में है और अगर मूसा'लहू ने दोनों की तस्दीक़ या तकज़ीब की तो मूसा'लहू को कुछ नहीं मिलेगा और अगर मूसा'लहू कहता है कि मुझको यह मालूम नहीं कि क़त्ल ख़ताअन हुआ है या अमदन तो इसका हक़ अभी बातिल नहीं होगा। जिस वक़्त भी मूसा'लहू किसी एक बेटे की तस्दीक़ करदेगा तो मज़कूरा बाला तफ़सील के मुताबिक़ मूसा'लहू को हक़ मिल जायेगा और अगर बजाए मूसा'लहू के मक़तूल का तीसरा बेटा हो और तस्दीक़ व तकज़ीब में मज़कूरा बाला सूरतें इख़्तियार करे तो एक सूरत के सिवा तमाम सूरतों में वही हुक्म है और वह एक सूरत यह है कि अगर तीसरे बेटे ने मुद्दई क़त्ले अमद की तस्दीक़ की तो इस को और मुद्दई क़त्ले अमद को एक तिहाई दियत मिलेगी। (हिन्दिया स.17 जि.6)

मसअला.160:– मक़तूल के दो बेटों में से बड़े ने छोटे के ख़िलाफ़ गवाह पेश किये कि उसने बाप को क़त्ल किया है और छोटे ने गवाह पेश किये कि फ़ुलाँ अजनबी ने क़त्ल किया है तो बड़े को छोटे से निस्फ़ दियत दिलाई जायेगी और छोटे को इस अजनबी से निस्फ़ दियत दिलाई जायेगी।

मसअला.161:– मक़तूल के तीन बेटों में से बड़े ने मन्झले के ख़िलाफ़ गवाह पेश किये कि इसने बाप को क़त्ल किया है और मन्झले ने छोटे कि ख़िलाफ़ गवाह पेश किये कि उसने बाप को क़त्ल किया है और छोटे ने बड़े के ख़िलाफ़ क़त्ल के गवाह पेश किये तो सब शहादतें कबूल करली जायेंगी लेकिन क़िसास किसी से भी नहीं लिया जायेगा बल्कि हर मुद्दई अपने मुद्दआ'अलैहि से एक तिहाई दियत लेगा। (हिन्दिया स.18 जि.6)

मसअला.162:– मक़तूल ने ज़ैद, अम्र और बक्र तीन बेटे छोड़े ज़ैद ने गवाह पेश किये कि अम्र व बक्र ने बाप को क़त्ल किया है और अम्र व बक्र ने ज़ैद के क़ातिल होने पर गवाह पेश किये तो क़ौले इमाम पर ज़ैद दोनों भाईयों से उनके माल में से निस्फ़ दियत लेगा अगर क़त्ले अमद का दअ्वा था और उनके आक़िला से निस्फ़ दियत लेगा और क़त्ले ख़ता का दअ्वा था और अम्र व बक्र ज़ैद के माल से निस्फ़ दियत लेंगे। (हिन्दिया स.18 जि.6)

मसअला.163:– मक़तूल ने एक बेटा और एक भाई छोड़ा उनमें से हर एक दूसरे पर क़त्ल का दअ्वा करके उसके ख़िलाफ़ गवाह पेश करता है तो भाई के गवाह लग्व क़रार पायेंगे और बेटे के गवाहों की गवाही पर भाई के ख़िलाफ़ फ़ैसला कर दिया जायेगा(हिन्दिया स.18 जि.6, बहरुर्राइक़ स.323 जि.8)

इक़रारे क़त्ल का बयान

मसअला.164:– दो आदमियों में से हर एक ने ज़ैद के क़त्ल का इक़रार किया और वली ज़ैद कहता है कि तुम दोनों ने क़त्ल किया है तो क़िसास में दोनों को क़त्ल करदिया जायेगा।(हिन्दिया)

मसअला.165:– अगर चन्द गवाहों ने गवाही दी कि ज़ैद को फ़ुलाँ शख़्स ने क़त्ल किया है और दूसरे चन्द गवाहों ने गवाही दी कि ज़ैद का क़ातिल दूसरा शख़्स है और वली ने कहा कि दोनों ने क़त्ल किया है तो यह दोनों शहादतें बातिल हैं। (हिन्दिया स.19 जि.6, फ़त्हुलक़दीर स.297 जि.8)

मसअला.166:– किसी शख़्स ने इक़रार किया कि मैंने फ़ुलाँ शख़्स को क़स्दन क़त्ल किया है और मक़तूल के वली ने इसकी तस्दीक़ करके क़िसास में इसको क़त्ल कर दिया फिर एक दूसरे शख़्स ने आकर इक़रार किया कि मैंने उसको क़स्दन क़त्ल किया है तो वली उसको भी क़त्ल कर सकता है और अगर पहले क़ातिल के इक़रार के वक़्त वली ने इससे यह कहा था कि तूने तन्हा अमदन क़त्ल किया था और उसको क़िसास में क़त्ल कर दिया फ़िर दूसरे ने आकर यह इक़रार किया कि

मैंने तन्हा अ़मदन क़त्ल किया है और वली ने इसकी तस्दीक़ भी करदी तो वली पर पहले क़ातिल के क़त्ल की दियत वाजिब होगी और दूसरे क़ातिल पर वली के लिये दियत लाज़िम होगी। (हिन्दिया)

मसअ्ला.167:– किसी ने क़त्ले ख़ता का इक़रार किया और वली मक़तूल क़त्ले अ़मद का दअ्वा करता है तो क़ातिल के माल से वली को दियत दिलवाई जायेगी। ((हिन्दिया स.19 जि.6 मब्सूत)

मसअ्ला.168:– अगर क़ातिल क़त्ले अ़मद का इक़रार करले और वली मक़तूल क़त्ले ख़ता का मुद्दई हो तो मक़तूल के वुरसा को कुछ नहीं मिलेगा और अगर वली ने बाद में क़ातिल के क़ौल की तस्दीक़ करदी और कहदिया कि तूने क़स्दन क़त्ल किया है तो क़ातिल पर दियत लाज़िम है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.169:– किसी शख़्स ने दो आदमियों पर दअ्वा किया कि उन्होंने मेरे बाप का अ़मदन आलाए धारदार से क़त्ल कर दिया है उनमें से एक शख़्स ने तन्हा क़त्ल का इक़रार किया और दो गवाहों ने गवाही दी कि दूसरे मुद्दआ़'अ़लैहि ने तन्हा क़स्दन क़त्ल किया है तो यह शहादत क़बूल नहीं की जायेगी और इक़रार करने वाले से क़िसास लिया जायेगा और अगर ख़ताअ्न क़त्ल का दअ्वा हो तो इक़रार करने वाले से निस्फ़ दियत ली जायेगी और दूसरे मुद्दआ़'अ़लैहि पर कुछ लाज़िम नहीं है। (आलमगीरी स.19 जि.6)

मसअ्ला.170:– अगर दो मुद्दआ़'अ़लैहि में से एक ने तन्हा अ़मदन क़त्ल करने का इक़रार किया और दूसरे ने इन्कार और मुद्दई के पास गवाह नहीं हैं तो इक़रार करने वाले से क़िसास लिया जायेगा और अगर दोनों में से एक ने ख़ताअ्न क़त्ल का और दूसरे ने अ़मदन क़त्ल का इक़रार किया तो दोनों पर दियत लाज़िम होगी।(आलमगीरी स.19 जि.6)

मसअ्ला.171:– किसी ने दो आदमियों पर दअ्वा किया कि उन्होंने मेरे वली को धारदार आले से क़त्ल किया है उनमें से एक ने मुद्दई की तस्दीक़ की और दूसरे ने कहा कि मैंने ख़ताअ्न लाठी से मारा था तो उन दोनों के माल में से वली को तीन साल में दियत दिलाई जायेगी और अगर वली का दअ्वा क़त्ले ख़ता का था और उन दोनों ने क़त्ले अ़मद का इक़रार किया तो मुद्दआ़'अ़लैहि बरी करदिये जायेंगे और अगर दअ्वा क़त्ले ख़ता का था और मुद्दआ़'अ़लैहि ने मुद्दई की तस्दीक़ की तो दियत वाजिब होगी और अगर दअ्वा क़त्ले ख़ता का था और एक क़ातिल ने अ़मदन क़त्ल का इक़रार किया और दूसरे ने क़त्ले ख़ता का तब भी दोनों पर दियत लाज़िम होगी।(आलमगीरी स.19 जि.6)

मसअ्ला.172:– किसी ने दो अश्ख़ास पर दअ्वा किया कि उन्होंने मेरे वली को अ़मदन क़त्ल किया है उनमें से एक ने कहा कि हमने अ़मदन क़त्ल किया है और दूसरे ने क़त्ल ही का इन्कार कर दिया तो इक़रार करने वाले से क़िसास लिया जायेगा और अगर दअ्वा क़त्ले ख़ता का हो और एक मुद्दआ़'अ़लैहि कहे कि हमने अ़मदन क़त्ल किया है और दूसरा क़त्ल ही का इन्कार करे मुल्ज़िम बरी करदिये जायेंगे। (आलमगीरी स.19 जि.6)

मसअ्ला.173:– किसी ने ज़ैद से कहा कि मैंने और फुलाँ शख़्स ने तेरे वली को अ़मदन क़त्ल किया है और उसके साथी ने कहा कि हमने ख़ताअ्न क़त्ल किया है और ज़ैद ने इक़रार करने वाले से कहा कि तन्हा तूने ने अ़मदन क़त्ल किया है तो ज़ैद क़त्ले अ़मद का इक़रार करने वाले से क़िसास लेगा और अगर ज़ैद ने क़त्ले ख़ता का दअ्वा किया तो दोनों बरी कर दिये जायेंगे।(हिन्दिया)

मसअ्ला.174:– किसी ने ज़ैद से कहा कि मैंने तेरे वली का हाथ क़स्दन काटा और फुलाँ शख़्स ने उस का पैर क़स्दन काटा था और इसी वजह से उसकी मौत वाक़ेअ् होगई थी और ज़ैद कहता है कि तूने तन्हा उसके हाथ, पैर अ़मदन काटे हैं और दूसरा शख़्स इस जुर्म में शिरकत का इन्कार करता है तो इक़रार करने वाले से क़िसास लिया जायेगा और अगर ज़ैद ने कहा कि तूने अ़मदन उसका हाथ काटा था और पैर काटने वाले का मुझ को इल्म नहीं तो अभी क़िसास नहीं लिया जायेगा हाँ अगर किसी वक़्त ज़ैद इस इब्हाम (छुपी हुई बात) को दूर करदे और यह कहे कि मुझे याद आगया कि तेरे साथी ने क़स्दन पैर काटा था तो इक़रार करने वाला क़िसास में क़त्ल किया

जायेगा लेकिन अगर क़ाज़ी इसके इब्हाम को दूर करने से पहले बुत्लाने हक़ का फ़ैसला कर चुका है तो इस के इब्हाम दूर करने से हक़ वापस नहीं मिलेगा। (हिन्दिया स.20 जि.6, बहरुर्राइक स.325 जि.8)

मसअ्ला.175:– कोई शख़्स मक़तूल पाया गया कि उसके दोनों हाथ कटे हुए थे और वली ने दअ्वा किया कि फ़ुलाँ शख़्स ने उसका दाहिना हाथ क़स्दन काटा था और फ़ुलाँ शख़्स ने उसका बायाँ हाथ क़स्दन काटा और उन दोनों हाथों को काटने से उसकी मौत वाक़ेअ् हुई थी बायाँ हाथ काटने वाले ने क़स्दन हाथ काटने और सिर्फ़ इसी सबब से मौत वाक़ेअ् होने का इक़रार किया और दायाँ हाथ काटने वाले ने क़तअ् यद का इन्कार किया तो इक़रार करने वाले से क़िसास़ लिया जायेगा और अगर वली ने कहा कि फ़ुलाँ शख़्स ने बायाँ हाथ क़स्दन काटा था और दाहिना हाथ भी क़स्दन काटा गया है मगर उसके काटने वाले का मुझे इल्म नहीं है और मौत दोनों हाथों के कटने से वाक़ेअ् हुई है बायाँ हाथ काटने वाला इक़रार करता है कि मैंने अ़मदन बायाँ हाथ काटा है और सिर्फ़ इसी वजह से मौत वाक़ेअ् हुई है तो इक़रार करने वाला भी बरी होजायेगा और अगर वली ने कहा कि फ़ुलां ने दाहिना हाथ क़स्दन काटा और फ़ुलाँ ने बायाँ क़स्दन काटा और बायें हाथ काटने वाला कहता है कि मैंने बायाँ हाथ क़स्दन काटा है और दाहिना हाथ काटने वाले का मुझे इल्म नहीं है लेकिन यह जानता हूँ कि दाहिना हाथ क़स्दन काटा गया और मौत उसी से वाक़ेअ् हुई है तो क़िसास़ नहीं लिया जायेगा इक़रार करने वाले पर निस्फ़ दियत लाज़िम होगी(आलमगीरी)

मसअ्ला.176:– किसी मक़तूल के दो बेटों में से एक हाज़िर और दूसरा ग़ाइब है हाज़िर ने किसी शख़्स पर अपने बाप के क़त्ले अ़मद (जानबूझकर मारना) का दअ्वा किया और गवाह पेश कर दिये लेकिन क़ातिल ने इस बात के गवाह पेश किये कि ग़ाइब बेटे ने मुझे मुआ़फ़ कर दिया है तो क़िसास़ साक़ित होजायेगा और मुद्दई को निस्फ़ दियत दिलाई जायेगी। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.500 जि.5)

मसअ्ला.177:– क़त्ले ख़ता और हर एक ऐसे क़त्ल में जिस में क़िसास़ वाजिब न हो एक मर्द दो औरतों की शहादत कबूल करली जायेगी। (ख़ानिया स.395 जि.4, तहतावी अ़लदुरर स.276 जि.4)

मसअ्ला.178:– किसी बच्चे ने यह इक़रार किया कि मैंने अपने बाप को अ़मदन क़त्ल कर दिया है तो उस पर क़िसास़ वाजिब नहीं होगा और मक़तूल की दियत बच्चे के आ़क़िला पर वाजिब होगी और बच्चा वारिस् भी होगा मजनून का हुक्म भी यही है। (ख़ानिया स.395 जि.4)

मसअ्ला.179:– अगर ना'बालिग़ बच्चे के किसी ऐसे क़रीबी रिश्ते'दार को क़त्ल करदिया गया या अअ्ज़ा काट दिये गये जिसके क़िसास़ का हक़ बच्चे को था तो इस बच्चे के बाप को क़िसास़ लेने और दियत के मसावी या इस से ज़्यादा माल पर सुलह़ करने का हक़ है और अगर मिक़दारे दियत से कम पर सुलह़ करलेगा तब भी सुलह़ सह़ीह़ होजायेगी लेकिन पूरी दियत लाज़िम होगी मगर मुआ़फ़ करने का हक़ नहीं है और वसी को नफ़्स के क़िसास़ व अ़फ़्व (यानी मुआ़फ़ करने) का हक़ नहीं है। सिर्फ़ दियत के मसावी (दियत के बराबर) या इस से ज़्यादा माल पर सुलह़ का हक़ है और मादूनुन्नफ़्स (यानी क़त्ल से कम जिसमानी नुक़सान में मसलन हाथ पाँव तोड़ना वग़ैरा) में क़िसास़ व सुलह़ का हक़ है अ़फ़्व का हक़ नहीं है। (शामी स.475 जि.5, क़ाज़ी ख़ाँ स.422 जि.3, दुरर गुरर स.94 जि.2)

मसअ्ला.180:– क़ातिल और औलियाए मक़तूल अगर माल पर सुलह़ करलें तो क़िसास़ साक़ित हो जायेगा और जिस माल पर सुलह़ की है वह लाज़िम होगा और अगर नक़द व उधार का ज़िक्र नहीं किया तो फ़ौरन अदा करना वाजिब होगा। (आलमगीरी स.60 जि.6 फ़त्हुलक़दीर व इनाया स.275 जि.8)

मसअ्ला.181:– अगर क़त्ल ख़ताअ्न था और माले मुअ़य्यन पर (तय माल पर) सुलह़ की और उस का कोई वक़्त मुअ़य्यन नहीं किया तो अगर क़ाज़ी की क़ज़ा और दियत की किसी ख़ास़ क़िस्म पर फ़रीक़ैन की रज़ा'मन्दी से पहले यह सुलह़ है तो यह माल मुअज्जल होगा। (हिन्दिया स.20 जि.6)

मसअ्ला.182:– अगर एक हुर (आज़ाद) और एक ग़ुलाम ने मिलकर किसी को क़त्ल किया फ़िर हुर ने और ग़ुलाम के मालिक ने किसी शख़्स को मुसालहत के लिये वकील बनाया उसने जिस रक़म

पर मुसालहत की वह हुर और गुलाम के मालिक पर निस्फ़–निस्फ़ वाजिब होगी।(आलमगीरी स.20 जि.6)

मसअ्ला.183:– क़त्ले ख़ता में दियत की किसी ख़ास क़िस्म पर क़ज़ा–ए–क़ाज़ी होचुकी या फ़रीक़ैन राज़ी होचुके तो इस के बाद उसी नोअ् की ज़्यादा मिक़दार पर सुलह करना जाइज़ नहीं है और कम पर जाइज़ है सुलह नक़द और उधार दोनों तरह जाइज़ हैं और अगर किसी दूसरी क़िस्म के माल पर सुलह करना चाहिए तो ज़्यादा पर भी सुलह जाइज़ है लेकिन अगर क़ाज़ी ने दराहिम पर फ़ैसला किया और उन्होंने उस से ज़्यादा क़ीमत के दनानीर (सोने के सिक्के) पर सुलह की तो नक़द जाइज़ है और उधार ना'जाइज़ है और अगर किसी ग़ैर मुअ़य्यन जानवर पर सुलह की तो ना'जाइज़ है और मुअ़य्यन पर जाइज़ है अगर्चे मज्लिस में क़ब्ज़ा न किया जाये और अगर उन दराहिम से कम मालियत के दनानीर पर सुलह की तो उधार ना'जाइज़ है और नक़द जाइज़ है इसी तरह अगर क़ाज़ी का फ़ैसला दराहिम पर था और उन्होंने ग़ैर मुअ़य्यन सामान पर सुलह की तो ना'जाइज़ है और मुअ़य्यन पर जाइज़ है मज्लिस में क़ब्ज़ा करें या न करें। (आलमगीरी स.20 जि.6)

मसअ्ला.184:– क़ज़ा–ए–क़ाज़ी और फ़रीक़ैन की दियते मुअ़य्यन पर रज़ा'मन्दी से पहले अगर फ़रीक़ैन उन अम्वाल पर सुलह करना चाहें जो दियत में लाज़िम होते हैं तो दियत की मिक़दार से ज़ाइद पर सुलह ना'जाइज़ है अगर्चे नक़द पर हो और कम पर नक़द व उधार दोनों तरह जाइज़ है और अगर दियत के मुक़र्ररा अम्वाल के इलावा किसी दसूरी चीज़ पर सुलह करना चाहें तो उधार ना'जाइज़ है और नक़द जाइज़ है। (आलमगीरी अज़ मुहीत स.20 जि.6)

मसअ्ला.185:– किसी शख़्स ने अ़मदन क़त्ल किया और मक़तूल के दो वली हैं एक वली ने कुल ख़ून के बदले में पचास हज़ार पर सुलह करली तो इस को पच्चीस हज़ार मिलेंगे और दूसरे को निस्फ़ दियत मिलेगी।(आलमगीरी स.20 जि.6)

मसअ्ला.186:– मक़तूल के वुरसा में से मर्द, औरत, माँ, दादी वग़ैरा किसी एक ने क़िसास मुआफ़ करदिया बीवी का क़िसास शौहर ने मुआफ़ करदिया तो क़ातिल से क़िसास नहीं लिया जायेगा(आलमगीरी)

मसअ्ला.187:– अगर वुरसा में से किसी ने क़िसास के अपने हक़ के बदले में माल पर सुलह करली या मुआफ़ कर दिया तो बाक़ी वुरसा का क़िसास का हक़ साक़ित होजायेगा और दियत से अपना हिस्सा पायेंगे और मुआफ़ करने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। (आलमगीरी स.21 जि.6)

मसअ्ला.188:– क़िसास के दो मुस्तहक़ अश्ख़ास में से एक ने मुआफ़ करदिया तो दूसरे को निस्फ़ दियत तीन साल में क़ातिल के माल से मिलेगी। (आलमगीरी स.21 जि.6 अज. काफ़ी)

मसअ्ला.189:– दो औलिया में से एक ने क़िसास मुआफ़ करदिया दूसरे ने यह जानते हुए कि अब क़ातिल को क़त्ल करना हराम है क़त्ल करदिया तो इस से क़िसास लिया जायेगा। और इस को अस्ल क़ातिल के माल से निस्फ़ दियत मिलेगी और हुर्मते क़त्ल का इल्म न था तो इस पर अपने माल में अस्ल क़ातिल के लिये दियत है। दूसरे वली के मुआफ़ करने को जानता हो या न जानता हो (हिन्दिया)

मसअ्ला.190:– किसी ने दो अश्ख़ास को क़त्ल कर दिया और उन दोनों का वली एक शख़्स है उसने एक मक़तूल का क़िसास मुआफ़ कर दिया तो उसे दूसरे मक़तूल के क़िसास में क़त्ल करने का हक़ नहीं है। (आलमगीरी स.21 जि.16 जौहरा नय्यिरा)

मसअ्ला.191:– दो क़ातिलों में से वली ने एक को मुआफ़ कर दिया तो दूसरे से क़िसास लिया जायेगा। (आलमगीरी स.21 जि.6 अज़ मुहीत क़ाज़ीख़ाँ स.390 जि.4)

मसअ्ला.192:– किसी ने दो अश्ख़ास को क़त्ल कर दिया एक मक़तूल के वली ने क़ातिल को मुआफ़ कर दिया तो दूसरे मक़तूल का वली इसको क़िसास में क़त्ल कर सकता है।(आलमगीरी स21 जि.6)

मसअ्ला.193:– मजरूह की मौत से क़ब्ल वली ने मुआफ़ कर दिया तो इस्तिहसानन जाइज़ है(आलमगीरी)

मसअ्ला.194:– किसी ने क़स्दन क़त्ल कर दिया और वली मक़तूल के लिये क़ाज़ी ने क़िसास का फ़ैसला कर दिया और वली ने किसी शख़्स को इसके क़त्ल का हुक्म दिया फिर किसी शख़्स ने

वली से मुआफ़ी की दरख़्वास्त की और वली ने क़ातिल को मुआफ़ कर दिया मामूर (जिसे क़त्ल करने का हुक्म दिया गया) को इस मुआफ़ी का इल्म नहीं हुआ और उसने क़त्ल कर दिया तो मामूर पर दियत लाज़िम है और वह वली से यह दियत वसूल करेगा। (आलमगीरी स.21 जि.6 अज ज़हीरिया)

मसअ्ला.195:– वली या वसी को ना'बालिग़ मक़तूल के ख़ून को मुआफ़ करने का हक़ नहीं(आलमगीरी)

मसअ्ला.196:– किसी ने किसी के भाई को अमदन क़त्ल कर दिया और मक़तूल के भाई ने गवाह पेश किये कि उसके सिवा मक़तूल का कोई और वारिस् नहीं है और क़ातिल ने गवाह पेश किये कि मक़तूल का बेटा ज़िन्दा है तो भी फ़ैसला मुलतवी रहेगा। अगर क़ातिल ने गवाह पेश किये कि मक़तूल के बेटे ने दियत पर सुलह करके क़ब्ज़ा भी कर लिया है या उसने मुआफ़ कर दिया है तो क़ातिल के गवाहों की शहादत क़बूल होगी। इसके बाद बेटा अगर इसका इन्कार करे तो क़ातिल को बेटे के मुक़ाबले में दोबारा गवाह पेश करने होंगे और भाई के मुक़ाबिले में जो शहादत पेश की थी काफ़ी नहीं होगी। (काज़ी ख़ाँ स.397 जि.4 आलमगीरी स.21 जि.6)

मसअ्ला.197:– मक़तूल के दो भाई हैं और क़ातिल ने गवाह पेश किये कि एक ग़ाइब भाई ने माल पर मुझसे सुलह करली है तो यह शहादत क़बूल करली जायेगी फिर अगर इस ग़ाइब भाई ने आकर सुलह का इन्कार किया तो दोबारा गवाह पेश करने की ज़रूरत नहीं है इस सूरत में हाज़िर भाई को निस्फ़ दियत मिल जायेगी और ग़ाइब को कुछ नहीं मिलेगा।(काज़ी ख़ाँ स.398 जि.4)

मसअ्ला.198:– मक़तूल के दो औलिया में से एक ग़ाइब है और क़ातिल ने गवाह पेश किये कि ग़ाइब ने मुआफ़ कर दिया है तो यह शहादत क़बूल करली जायेगी और ग़ाइब के हक़ में मुआफ़ी मान ली जायेगी और इस अफ़्व के फ़ैसले के बाद ग़ाइब के आने पर दोबारा शहादत की ज़रूरत नहीं है और अगर क़ातिल ग़ाइब की मुआफ़ी का दअ्वा करता है और इस के पास गवाह नहीं हैं लेकिन चाहता है कि हाज़िर को क़स्म दी जाये तो यह फ़ैसला ग़ाइब के आने तक मुलतवी रखा जायेगा फिर अगर ग़ाइब ने आकर मुआफ़ी का इन्कार किया और क़स्म खाई तो क़ातिल से क़िसास् लिया जायेगा। (आलमगीरी स.21 जि.6 मब्सूत स.162 जि.26)

मसअ्ला.199:– क़ातिल कहता है कि वली ग़ाइब के मुआफ़ करने के गवाह मेरे पास हैं तो क़ाज़ी गवाहों को पेश करने के लिये अपनी सवाबदीद के मुताबिक़ (अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़) मोहलत देदे और अभी फ़ैसला न करे। मुक़र्ररा मुद्दत गुज़रने के बाद या इब्तिदाई मुक़द्दमा ही में क़ातिल ने गवाहों के ग़ाइब होने की बात कही तो इस्तिहसानन अब भी फ़ैसला मुलतवी रखे। हाँ अगर क़ाज़ी का गुमान ग़ालिब यह हो कि क़ातिल झूटा है उसके पास गवाह नहीं हैं तो क़िसास् का हुक्म दे सकता है(हिन्दिया स.21 जि.6 मब्सूत)

मसअ्ला.200:– दो औलिया में से एक ने दूसरे के अफ़्व की शहादत पेश की तो उसकी पाँच सूरतें होंगी।

1.क़ातिल और दूसरा वली इस की तस्दीक़ करें। **2.**दोनों इस की तकज़ीब करें(झुटलायें) **3.**वली तकज़ीब करे और क़ातिल तस्दीक़ करे। **4.**वली तस्दीक़ करे और क़ातिल तकज़ीब करे। **5.**दोनों सुकूत इख़्तियार करें। (ख़ामोश रहें)

तो क़िसास् हर सूरत में मुआफ़ होजायेगा लेकिन दियत में से अफ़्व की गवाही देने वाले को निस्फ़ दियत मिलेगी। अगर अफ़्व पर तीनों मुत्तफ़िक़ थे और अगर क़ातिल और वली आख़र ने इस की तकज़ीब की थी तो इस को कुछ नहीं मिलेगा और सुकूत करने की सूरत में वली आख़र को निस्फ़ दियत मिलेगी और अगर वली आख़र ने इस की तकज़ीब की भी और क़ातिल ने तस्दीक़ की थी तो हर एक वली को निस्फ़ निस्फ़ दियत मिलेगी। और अगर क़ातिल ने शहादत देने वाले वली की तकज़ीब की और वली आख़र ने तस्दीक़ की तो वली आव्वल को निस्फ़ दियत मिलेगा और वली आख़र को कुछ नहीं मिलेगा। (मब्सूत जि.26 आलमगीरी स.21 जि.6)

मसअ्ला.201:– अगर दो औलिया में से हर एक दूसरे के मुआफ़ करने की गवाही देता है तो दोनों

की गवाही बयक वक़्त है या औक़ाते मुख़्तलिफ़ा में अगर दोनों ने बयक वक़्त गवाही दी तो दोनों का हक़ बातिल होजायेगा। क़ातिल उनकी तकज़ीब करे या ब'यक वक़्त तस्दीक़ करे और अगर क़ातिल ने एक की तस्दीक़ की और एक की तकज़ीब की तो जिसकी तस्दीक़ है उसको निस्फ़ दियत मिलेगी और अगर दोनों ने मुख़्तलिफ़ औक़ात में शहादत दी थी और क़ातिल ने दोनों की तकज़ीब की तो बाद के शहादत देने वाले के लिये निस्फ़ दियत है और पहले शहादत देने वाले के लिये कुछ नहीं है। इसी तरह अगर क़ातिल ने दोनों की ब'यक वक़्त तस्दीक़ की तब भी पहले गवाही देने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। और बाद में वगाही देने वाले को निस्फ़ दियत मिलेगी और अगर क़ातिल ने मुख़्तलिफ़ औक़ात में दोनों की तस्दीक़ की तो दोनों को निस्फ़–निस्फ़ दियत मिलेगी और क़ातिल ने पहले गवाही देने वाले की तस्दीक़ की और दूसरे की तकज़ीब जब भी दोनों के लिये पूरी दियत का ज़ामिन होगा और अगर बाद के शहादत देने वाले की तस्दीक़ की और पहले वाले की तकज़ीब तो बाद वाले को निस्फ़ दियत मिलेगी और पहले को कुछ नहीं मिलेगा(आलमगीरी स.22जि.6)

मसअ्ला.202:– मक़तूल के तीन वली हैं उन में से दो ने गवाही दी कि तीसरे ने मुआफ़ कर दिया है तो इस की चार सूरतें हैं।

1. क़ातिल और तीसरे वली उन दोनों की तस्दीक़ करें तो तीसरे का हक़ बातिल होजायेगा और दोनों गवाही देने वालों को हक़्क़े क़िसास से माल की तरफ़ मुन्तक़िल होजायेगा।

2. और अगर क़ातिल तीसरा वली दोनों गवाही देने वालों की तकज़ीब करें तो गवाही देने वालों का हक़ बातिल होजायेगा और तीसरे का हक़े क़िसास से माल की तरफ़ मुन्तक़िल होजायेगा।

3. और अगर सिर्फ़ तीसरे वली ने दोनों गवाही देने वालों की तस्दीक़ की तो क़ातिल दोनों गवाही देने वालों के लिये एक तिहाई दियत का ज़ामिन होगा।

4. और अगर सिर्फ़ क़ातिल ने दोनों गवाही देने वालों की तस्दीक़ की तो तीनों औलिया को एक एक् तिहाई दियत मिलेगी। (आलमगीरी स.22 जि. अज़ मुहीत बहरुर्राइक स.321 जि.8)

मसअ्ला.203:– मक़तूले ख़ता के वारिसों में से दो ने गवाही दी कि बा'ज़ वारिसों ने अपना हिस्साए दियत मुआफ़ कर दिया है अगर यह गवाही देने से पहले अपने हिस्सा–ए–दियत पर उन्होंने क़ब्ज़ा नहीं किया है तो यह गवाही क़बूल करली जायेगी। (आलमगीरी स.22 जि.6)

मसअ्ला.204:– बहुत से लोग जमअ् होकर एक बाउले कुत्ते (पागल कुत्ता) को तीर मार रहे थे कि एक तीर ग़लती से किसी बच्चे के लग गया और वह मर गया लोगों ने गवाही दी कि यह तीर फ़ुलाँ शख़्स का है लेकिन यह गवाही नहीं देते कि फ़ुलाँ शख़्स ने यह तीर मारा है बच्चा के बाप ने इस तीर वाले से सुलह करली तो अगर यह जानते हुए सुलह की है कि उसी का फेंका हुआ तीर बच्चे को लगकर उसकी मौत का सबब बना है तो यह सुलह जाइज़ है और अगर तीर की शनाख़्त के सिवा और कोई दलील न हो तो सुलह बातिल है अगर तीरअन्दाज़ का इ़ल्म तो है मगर तीर लगने के बाद बाप ने बढ़कर बच्चे को तमान्चा मारा और बच्चा गिरकर मर गया। यह मा'लूम न होसका कि मौत का सबब तीर हुआ या तमान्चा, तो इस सूरत में अगर दूसरे वुरसा मक़तूल की इजाज़त से बाप ने सुलह की तो यह सुलह जाइज़ है और सुलह का माल सब वुरसा में तक़सीम होगा और बाप को कुछ नहीं मिलेगा और अगर वुरसा की इजाज़त के बिग़ैर सुलह की है तो यह सुलह बातिल है। (आलमगीरी स.22 जिल्द6 बहरुर्राइक स.218 जि.8)

मसअ्ला.205:– किसी ने किसी के सर पर ख़ताअ्न दो गहरे ज़ख़्म लगाये। ज़ख़्मी ने एक ज़ख़्म और इस से पैदा होने वाले असरात को मुआफ़ कर दिया इसके बाद ज़ख़्मी मरगया तो अगर जुर्म का सुबूत इक़रारे मुज्रिम से हुआ था तो यह अ़फ़्व बातिल है और मुज्रिम के माल में दियत लाज़िम होगी। और अगर जुर्म का सुबूत गवाही से हुआ था तो यह अ़फ़्व आ़क़िला के हक़ में वसियत माना जायेगा और निस्फ़ दियत आ़क़िला पर मुआफ़ होजायेगी अगर मक़तूल के कुल तर्का के तिहाई से

ज़्यादा न हो और अगर यह दोनों ज़ख़्म क़स्दन लगाये हों और सूरत यही हो तो मुजिरम पर कुछ लाज़िम नहीं होगा, न क़िसास, न दियत। (आलमगीरी स.23 जि.6)

मसअ्ला.206:– अगर किसी ने किसी का सर क़स्दन फाड़ दिया मजरूह(ज़ख्मी)ने मुजरिम को ज़ख़्म और उससे पैदा होने वाले असरात से मुआफ़ कर दिया। इसके बाद मुजरिम ने अमदन एक और ज़ख़्म लगा दिया। ज़ख़्मी ने इसको मुआफ़ नहीं किया और मरगया तो किसास नहीं लिया जायेगा लेकिन पूरी दियत 3 साल में ली जायेगी। (आलमगीरी स.23 जि.6)

मसअ्ला.207:– किसी ने किसी को क़स्दन गहरा ज़ख़्म लगाया फिर मजरूह से ज़ख़्म और उससे पैदा होने वाले असरात से मुअय्यन माल पर सुलह करली और मजरूह ने माल पर क़ब्ज़ा भी कर लिया उसके बाद किसी दूसरे शख़्स ने इस मजरूह को गहरा ज़ख़्म क़स्दन लगाया। मजरूह दोनों ज़ख़्मों की वजह से मर गया तो दूसरे जारेह से क़िसास लिया जायेगा और पहले पर कुछ लाज़िम नहीं है और अगर मजरूह ने दोनों ज़ख़्म खाने के बाद मुजरिमे अव्वल से सुलह की तब भी यही हुक्म है। (आलमगीरी स.23 जि.6)

मसअ्ला.208:– किसी ने किसी को क़स्दन गहरा ज़ख़्म लगाया फिर ज़ख़्म और इस से पैदा होने वाले असरात के बदले में दस हज़ार दिरहम पर सुलह करके मजरूह को अदा भी कर दिये फिर किसी दूसरे शख़्स ने उसी मजरूह को ख़ताअन ज़ख़्मी कर दिया और मजरूह दोनों ज़ख़्मों से मर गया तो दूसरे जारेह के आक़िला पर निस्फ़ दियत लाज़िम होगी। और पहला जारेह मक़तूल के माल में से पाँच हज़ार दिरहम वापस ले लेगा। (आलमगीरी स.23 जि.6)

मसअ्ला.209:– किसी ने बच्चे का दांत उखेड़ दिया या किसी औरत का सर मुंडा दिया उसके बाद मुजरिम ने बच्चे के बाप से या उस औरत से माल पर सुलह करली इस के बाद औरत के सर पर बाल निकल आये या बच्चे का दांत निकल आया तो इस माल का वापस कर देना लाज़िमी है और यही सूरत उस सूरत में भी है जब किसी का हाथ तोड़ दिया हो और उससे माल पर सुलह करली हो और इस के बाद पलास्टर कर दिया गया हो और हड्डी जुड़गई हो फिर अगर हाथ टूटने वाला यह कहे कि मेरा पहले से कम्ज़ोर होगया है और जैसा था वैसा नहीं हुआ तो किसी माहिरे फ़न से तहक़ीक़त कराई जायेगी। (बहरुर्राइक़ स.318 जि.8)

मसअ्ला.210:– क़िसास का हक़ हर उस वारिस् का है जिसका हिस्सा–ए–मीरास् क़ुर्आन में मुअय्यन कर दिया गया है और दियत का भी यही हुक्म है। (काज़ी ख़ाँ स.390 जि.4)

मसअ्ला.211:– अगर सब वुरसा बालिग़ हों तो सबकी मौजूदगी में क़िसास लिया जायेगा सिर्फ़ बाज को क़िसास लेने का हक़ नहीं है और अगर बाज़ वुरसा बालिग़ हैं और बाज़ ना'बालिग़ हैं तो बालिग़ वुरसा अभी क़िसास लेलेंगे और ना'बालिगों के बुलूग़ का इन्तिज़ार नहीं करेंगे।(काज़ी ख़ाँ स.390 जि.4)

मसअ्ला.212:– मक़तूल फ़िल'अमद के बाज़ वुरसा ने क़ातिल को मुआफ़ करदिया फिर बाक़ी वुरसा ने यह जानते हुए क़ातिल को क़त्ल करदिया कि बाज़ के मुआफ़ कर देने से क़िसास साक़ित होजाता है तो उनसे क़िसास लिया जायेगा और अगर यह हुक्म उनको मालूम नहीं और क़ातिल को क़त्ल करदिया अगर्चे बाज़ के मुआफ़ करदेने को जानते हों तो इनसे क़िसास नहीं लिया जायेगा(काज़ीख़ाँ स.389 जि.4)

बाब एअ्तिबारे हालतिल'क़त्ल

मसअ्ला.213:– क़त्ल में आलाए क़त्ल के इस्तेअ्माल करने के वक़्त की हालत मोअ्तबर है।(बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.214:– किसी शख़्स ने मुसलमान को तीर मारा क़ब्ल इसके कि तीर उसे लगे मआज़ल्लाह वह मुर्तद होगया इसके बाद तीर लगा और वह मरगया तो मक़तूल के वुरसा के लिये तीर मारने वाले पर दियत वाजिब है और अगर मुर्तद को तीर मारा और तीर लगने से पहले वह मुसलमान हो गया और फिर तीर लगने से मरगया तो तीर मारने वाले पर कुछ तावान नहीं है।(आलमगीरी स.23 जि.6)

मसअ्ला.215:– किसी शख़्स ने गुलाम को तीर मारा तीर लगने से क़ब्ल उसके मौला ने उसे आज़ाद कर दिया तो तीर मारने वाले पर गुलाम की क़ीमत लाज़िम होगी।(आलमगीरी स.32 जि.6)

मसअला.216:– अगर किसी ने किसी क़ातिल को क़िसास मुआफ़ कर देने के बाद क़त्ल कर दिया तो इस से क़िसास लिया जायेगा। (बदाइअ सनाइअ स.247 जि.7)

मसअला.217:– किसी काफ़िर ने शिकार को तीर मारा और शिकार को तीर लगने से पहले वह मुसलमान होगया तो वह गोश्त हराम है और अगर मुसलमान ने मारा और मआज़ल्लाह लगने से पहले वह मुर्तद होगया तो वह गोश्त हलाल है।(बहरुर्राइक़ स.326 जि.8 फ़त्हुलक़दीर स.300 जि.8)

मसअला.218:– हुकूमते अद्ल यानी इन्साफ़ के साथ तावान लेने का तरीक़ा यह है कि उस शख़्स को गुलाम फ़र्ज़ करके यह अन्दाज़ा किया जाये कि जनायत के असर की वजह से उसकी क़ीमत में किस क़द्र कमी आगई। यह कमी हुकूमते अद्ल कहलायेगी मसलन गुलाम की क़ीमत का दसवां हिस्सा कम होगया तो वहाँ दियत का दसवाँ हिस्सा लाज़िम होगा या क़ीमत निस्फ़ रहगई तो निस्फ़ दियत लाज़िम होगी। (क़ाज़ीख़ाँ स.358 जि.4, शामी स.494 जि.5)

मसअला.219.:– या उन ज़ख़्मों में से जिन में शारेअ ने अर्श मुअय्यन किया है किसी क़रीब तरीन जगह के ज़ख़्म के साथ उस ज़ख़्म का मुक़ाबला दो माहिर आदिल जर्राहों से कराके यह मालूम किया जायेगा कि उस ज़ख़्म को इस ज़ख़्म से क्या निस्बत है और क़ाज़ी उनके क़ौल के मुताबिक़ इस ज़ख़्म से उस ज़ख़्म को जो निस्बत हो उसी निस्बत से अर्श का हिस्सा मुअय्यन करदे मसलन यह ज़ख़्म इस ज़ख़्म का निस्फ़ है तो निस्फ़ और रुबअ (चौथाई) है तो रुब्अ अर्श(बदाइअ सनाइअ स.324 जि.7)

मसअला.220:– हुकूमते अद्ल जनायात मादूनुन्नफ़्स में से जिनमें क़िसास नहीं और शारेअ ने कोई अर्श भी मुअय्यन नहीं किया है उन में जो तावान लाज़िम आता है उसको हुकूमते अद्ल कहते हैं।

किताबुद्दियात

मसअला.221:– दियत उस माल को कहते हैं जो नफ़्स के बदले में लाज़िम होता है और अर्श उस माल को कहते हैं जो मादूनुन्नफ़्स (क़त्ल से कम जिसमानी नुक़सान में मसलन हाथ पाँव तोड़ना) में लाज़िम होता है और कभी अर्श और दियत को बतौर मुतरादिफ़ (एक ही माना में) भी बोलते हैं।(आलमगीरी स.24 जि.6)

मसअला.222:– क़तअ व क़त्ल की चार सूरतों में दियत वाजिब होती है 1.क़त्ले ख़ता 2.शुब्हे अमद 3.क़त्ल बिस्सबब 4.क़ाइम मक़ाम ख़ता। इन सब सूरतों में दियत असबात पर वाजिब होती है। सिवाए उस सूरत में कि बाप अपने बेटे को क़त्ल करदे तो इसको अपने माल में दियत वाजिब होगी और हर उस क़त्ल व क़तए अमद में जिसमें किसी शुबह की वजह से क़िसास साक़ित होजाये मुजिरम के अपने माल में दियत वाजिब होगी। और जनायाते अमद की सुलह का माल भी मुजिरम के माल से अदा किया जायेगा। (हिन्दिया स.24 जि.6 क़ाज़ी ख़ाँ स.392 जि.4)

मसअला.223:– दियत सिर्फ़ तीन क़िस्म के मालों से अदा की जायेगी 1.ऊंट एक सौ 2.दीनार एक हज़ार 3.दराहिम दस हज़ार। क़ातिल को इख़्तियार है कि इन तीनों में से जो चाहे अदा करे(आलमगीरी)

मसअला.224:– ऊंट सब एक उम्र के वाजिब नहीं होंगे बल्कि मुख़्तलिफ़ुल उम्र लाज़िम आयेंगे जिस की तफ़सील हस्बे ज़ैल है। ख़ता क़त्ल की सूरत में पाँच क़िस्म के ऊंट दिये जायेंगे बीस बिन्ते मख़ाज़ यानी ऊँट का वह मादा बच्चा जो दूसरे साल में दाख़िल होचुका हो और बीस इब्ने लबून यानी ऊँट के वह नर बच्चे जो तीसरे साल में दाख़िल होचुके हों और बीस बिन्ते लबून यानी ऊँट का वह मादा बच्चा जो तीसरे साल में दाख़िल होचुका हो। बीस हिक़्क़े यानी ऊँट के वह बच्चे जो उम्र के चौथे साल में दाख़िल हो चुके हों और बीस जिज़आ यानी वह ऊँटनी जो पाँचवें साल में दाख़िल होचुकी है और शुब्ह अमद में पच्चीस बिन्ते मख़ाज़ और पच्चीस बिन्ते लबून और पच्चीस हिक़्क़े और पच्चीस जिज़ए सिर्फ़ यह चार किस्में दी जायेंगी(आलमगीरी स.24 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.504 जि.5)

मसअला.225:– मुस्लिम ज़िम्मी, मुस्तामिन सबकी दियत एक बराबर है और "औरत की दियते नफ़्स, मादूनुन्नफ़्स में मर्द की दियत की निस्फ़ दी जायेगी" और वह जनायात जिनमें कोई दियत मुअय्यन नहीं है बल्कि इन्साफ़ के साथ तावान लाया जाता है उनमें मर्द व औरत का तावान बराबर होगा। (आलमगीरी स.24 जि.6 शामी स.505 जि.5)

मसअ्ला.226:– खुन्सा का हाथ अ़मदन (जानबूझकर) काटने वाले से क़िसास नहीं लिया जायेगा। अगर्चे क़ातेअ़् (काटने वाली) औ़रत हो और ख़ुन्सा से भी क़िसास नहीं लिया जायेगा और अगर उस को किसी ने ख़ताअ़न क़त्ल कर दिया या हाथ पैर काट दिये तो औ़रत की दियत यानी मर्द की निस्फ़ दियत देदी जायेगी, जब आसा़रे जोलियत ज़ाहिर होंगे (यानी जब खुन्सा का मर्द होना जाहिर होजाये) तो बक़िया निस्फ़ भी उसको देदी जायेगी। (शामी स.505 जि.5 अज अल्अशबाह वन्नज़ाइर)

मसअ्ला.227:– मक़तूल की दियत के मुस्तहक़्क़ीन में एक नाबालिग़ बच्चा और एक बालिग़ शख़्स है जो आपस में बाप बेटे हैं तो बाप कुल दियत पर क़ब्ज़ा कर लेगा और अगर वह आपस में भाई भाई या चचा भतीजे हैं और बालिग़ ना'बालिग़ का वली नहीं हैं तो बालिग़ सिर्फ़ अपने हिस्से पर क़ब्ज़ा करेगा ना'बालिग़ के हिस्से पर नहीं। (आलमगीरी स.24 जि.6)

मसअ्ला.228:– अगर कोई किसी का सर बिलजब्र (ज़बर'दस्ती) मूंड दे तो एक साल तक इन्तिज़ार किया जायेगा अगर एक साल में सर पर बाल उग आयें तो हालिक़ (मूंडने वाले) पर कुछ तावान नहीं है वरना पूरी दियत वाजिब होगी इसमें मर्द, औ़रत, सग़ीर व कबीर (छोटा और बड़ा) सबका का हुक्म यक्सां है और अगर जिसका सर मूंडा गया था वह साल गुज़रने से पहले मरगया और उस वक़्त तक उस के सर पर बाल नहीं उगे थे तो हालिक़ के ज़िम्मे कुछ नहीं है।(आलमगीरी स.24 जि.6)

मसअ्ला.229:– अगर किसी ने किसी की दोनों भंवों को इस तरह उखेड़ा या मूंडा कि आइन्दा बाल उगने की उम्मीद न रही तो पूरी दियत लाज़िम होगी और एक में निस्फ़ दियत(हिदाया व एनाया स.309जि.8)

मसअ्ला.230:– चारों पपोटों से पलक इस तरह उखेड़ दिये जायें कि आइन्दा बाल न जमें तो पूरी दियत वाजिब है। दो पल्कों में निस्फ़ दियत और एक पलक में रुब्अ़् (चौथाई) दियत वाजिब है(दुर्रमुख़्तार)

मसअ्ला.231:– अगर किसी मर्द की पूरी दाढ़ी इस तरह मूंड दी कि एक साल तक बाल न उगे तो पूरी दियत वाजिब है और निस्फ़ में निस्फ़ दियत और निस्फ़ से कम में इन्साफ़ के साथ तावान लिया जायेगा और साल से पहले मरगया तो कुछ तावान नहीं लिया जायेगा सर और दाढ़ी के मूंडने में अ़मद व ख़ता में कोई फ़र्क़ नहीं है।(दुर्रमुख़्तार व शामी स.507 जि.5, आलमगीरी स.24 जि.6)

मसअ्ला.232:– कोसज यानी जिसकी दाढ़ी न उगे अगर उसकी ठोड़ी पर चन्द बाल थे और वह किसी ने मूंड दिये तो कुछ लाज़िम नहीं है और अगर ठोड़ी और रुख़्सारों पर चन्द मुतफ़र्रिक़ बाल हैं तो उनके मुंडने वाले पर इन्साफ़ के साथ तावान है और अगर ठोड़ी और रुख़्सारों पर छिदरे बाल हैं तो पूरी दियत है क्योंकि यह कोसज ही नहीं है यह हुक्म इस सूरत में है कि मूंडने के बाद एक साल तक बाल न उगें लेकिन अगर साल के अन्दर हस्बे साबिक़ बाल उग आयें तो कुछ तावान नहीं है। लेकिन तम्बीह के तौर पर सज़ा दी जायेगी और अगर साल तमाम होने से पहले मरगया और उस वक़्त तक बाल न उगे तो कुछ नहीं और अगर दोबारा सफ़ेद बाल उगे तो अगर सफ़ेदी की उ़म्र है तो कुछ नहीं और अगर इस उ़म्र से पहले सफ़ेद निकले तो आज़ाद और गुलाम दोनों में इन्साफ़ के साथ तावान वाजिब होगा। सर और दाढ़ी वग़ैरा हर जगह के बालों में सिर्फ़ इस सूरत में तावान लाज़िम होता है कि एक साल तक न उगें वरना नहीं और साल तमाम होने से पहले मरजाने की सूरत में कोई तावान लाज़िम नहीं आता है(शामी व दुर्रमुख़्ता स.507 जि.5 आलमगीरी स.24 जि.6)

मसअ्ला.233:– किसी की दाढ़ी बिल'जब्र मूंड दी फिर छिदरी उगी यानी कहीं बाल उगे और कहीं नहीं उगे तो इन्साफ़ के साथ तावान लिया जायेगा। (क़ाज़ीख़ाँ स.389 जि.4, आलमगीरी स.24 जि.6)

मसअ्ला.234:– अगर मूंछें और दाढ़ी दोनों मुंडदीं तो सिर्फ़ एक दियत वाजिब होगी अगर सिर्फ़ मूंछें मूंडीं तो इन्साफ़ के साथ तावान लिया जायेगा। (शामी स.507 जि.5 तबीईनुलहक़ाइक़ स.130 जि6)

मसअ्ला.235:– अगर औ़रत की दाढ़ी मूंड दी तो कुछ नहीं है। (शामी अज़ जौहरा नय्यिरा स.502 जि.5)

मसअ्ला.236:– अगर सर मूंडने वाला कहता है कि जिसका सर मैंने मूंडा है वह चन्दला था। इस लिये चन्दली जगहों पर बाल नहीं उगे हैं तो जितनी जगह पर बाल होने का इक़रार करता है उस

के बक़द्र हिस्सा–ए–दियत देगा और यही हुक्म इस सूरत में भी है कि दाढ़ी मूंडने के बाद कहे कि कोसज था और इस के रुख़्सारों पर बाल न थे या भंवें और पलकें मूंडने के बाद कहे कि बाल न थे इन सब सूरतों में मूंडने वाले का क़ौल क़स्म के साथ मान लिया जायेगा। अगर मुद्दई के पास गवाह न हों और अगर गवाह हैं तो इसकी बात मानी जायेगी।(आलमगीरी स.26 जि.6)

मसअ्ला.237:– अअ्ज़ा (जिस्म के हिस्से) की दियत में क़ायदा यह है कि अअ्ज़ा पाँच क़िस्म के हैं (1)एक एक जैसे नाक, ज़बान, ज़कर (2)दो, दो जैसे आँखें, कान, भंवें, होंट, हाथ, पैर, औरत के पिस्तान, ख़ुसयतैन (3)चार हों जैसे पपोटे (4)दस हों जैसे हाथों की उंगलियाँ, पैरों की उंगलियाँ, (5)दस से ज़ाइद हों जैसे दाँत। अगर जनायात की वजह से हुस्ने सूरत या मन्फ़अ़त उ़ज़्वी बिल्कुल फ़ौत होजाये तो पूरी दियते नफ़्स लाज़िम होगी। (तबईन स.129 जि.6, शामी स.505 जि.5) और अगर हुस्ने सूरी या मन्फ़अ़ते उ़ज़्वी पहले ही नाक़िस थी उसको ज़ाइअ् कर दिया जैसे गूंगे की ज़बान या ख़स्सी या इन्नीन का ज़कर या किसी का शल हाथ या लंगड़े का पैर या किसी की अंधी आँख या किसी का काला दाँत उखेड़ दिया तो उन अअ्ज़ा में क़स्दन जनायात की सूरत में भी क़िसास नहीं हैं और ख़ता में दियत भी नहीं बल्कि हुकूमते अ़द्ल है। (इनाया हिदाया स.307 जि.8, शामी स.506 जि.5)

मसअ्ला.238:– अगर क़िस्मे अव्वल का उ़ज़ू काटा तो इस में पूरी दियत है और अगर क़िस्मे सानी की दोनों उ़ज़ू को काटा तो पूरी दियत है और एक में निस्फ़ दियत और अगर तीसरी क़िस्म के चारों अअ्ज़ा को ज़ाइअ् किया तो पूरी दियत है दो में निस्फ़ दियत और एक में चौथाई दियत है और अगर चौथी क़िस्म के दसों उंगलियों को काटा तो पूरी दियत है और एक दसवां हिस्सा है और अगर पाँचवीं क़िस्म यानी सब दाँत तोड़दिये तो पूरी दियत है और एक में बीसवाँ हिस्सा(शामी स.505 जि.5)

मसअ्ला.239:– अगर दोनों कान ख़ताअ्न काट दिये तो पूरी दियत लाज़िम होगी एक में निस्फ़ दियत है और अगर बूचा बनादिया तो हुकूमते अ़द्ल है।(आलमगीरी स.25 जि.6)

मसअ्ला.240:– अगर कान पर ऐसी ज़र्ब लगाई कि बहरा होगया तो पूरी दियत वाजिब होगी(तबईन)

मसअ्ला.241:– ख़ताअ्न दोनों आँखें फोड़देने की सूरत में पूरी दियत और एक में निस्फ़ दियत है और यही हुक्म इस सूरत में भी है कि आँखें न फूटें मगर बीनाई जाती रहे।(आलमगीरी स.25 जि.6)

मसअ्ला.242:– काने की अच्छी आँख फोड़देने से निस्फ़ दियत लाज़िम होगी।(आलमगीरी स.25 जि.6)

मसअ्ला.243:– अगर पपोटों को मअ् पलकों के काट दिया तब भी एक ही दियत है।(तबईन स.131 जि.6)

मसअ्ला.244:– अगर ऐसे पपोटे को काटा जिसपर बाल न थे तो हुकूमते अ़द्ल है और अगर एक ने पलक काटे और पपोटे दूसरे ने तो पपोटे काटने वाले पर पूरी दियत है और पलक काटने वाले पर हुकूमते अ़द्ल है। (आलमगीरी अज़ मुहीत़ स.25 जि.6)

मसअ्ला.245:– अगर किसी ने किसी की पूरी नाक काटदी या नाक का नर्म हिस्सा काट दिया नर्म हिस्से में से कुछ काटदिया तो पूरी दियत वाजिब है।(दुर्रेमुख़्तार व शामी स.506 जि.5 आलमगीरी स.25 जि.6)

मसअ्ला.246:– अगर नाक की नोक काट दी तो इस में हकूमते अ़द्ल है।(दुर्रेमुख़्तार व शामी स.506 जि.5)

मसअ्ला.247:– किसी ने किसी की नाक तोड़दी या उसपर ऐसी ज़र्ब लगाई कि वह नाक से सांस लेने के क़ाबिल नहीं रहा सिर्फ़ मुँह से सांस ले सकता है तो इस में हुकूमते अ़द्ल है(आलमगीरी स.25 जि.6)

मसअ्ला.248:– किसी की नाक पर ऐसी ज़र्ब लगाई कि सूंघने की क़ुव्वत ज़ाइअ् होगई तो पूरी दियत वाजिब होगी। (क़ुदूरी, हिदाया स.587 जि.4, आलमगीरी स.25 जि.6)

मसअ्ला.249:– किसी ने पहले नाक का नर्म हिस्सा काटा फिर अच्छा होने के बाद पूरी नाक काट दी तो नर्म हिस्से की पूरी दियत और बाक़ी में हुकूमते अ़द्ल है और अगर अच्छे होने से पहले पूरी नाक काट दी तो एक ही दियत है। (आलमगीरी स.25 जि.6 बहरुर्राइक़ स.329 जि.8)

मसअ्ला.250:– अगर दोनों होंट काट दिये तो पूरी दियत वाजिब होगी और एक में निस्फ़ दियत और ऊपर नीचे के होंटों में कोई फ़र्क़ नहीं है। (आलमगीरी स.25 जि.6, दुर्रेमुख़्तार507 जि.5)

मसअला.251:– बच्चे के कान और नाक में भी पूरी दियत है। (आलमगीरी स.25 जि.6)

मसअला.252:– हर दाँत के ज़ाइअ् करने पर दियत का बीसवाँ हिस्सा है। सामने के दाँतों कीलों और डाढ़ों में कोई फ़र्क़ नहीं है। (आलमगीरी स.25 जि.6 बहरुर्राइक़ स.332 जि.8)

मसअला.253:– किसी ने किसी का दांत उखेड़ दिया उसके बाद दूसरा उस जैसा दांत उग आया तो दियत साक़ित होजायेगी और अगर दूसरा दाँत काला उगा तो दियत साक़ित नहीं होगी(आलमगीरी)

मसअला.254:– किसी ने किसी का दाँत उखेड़ दिया जिसका दाँत उखेड़ा था उसने उखड़ा हुआ दांत अपनी जगह पर लगादिया और वह जमगया तो अगर हुस्ने सूरी और मन्फ़अ़त में कोई फ़र्क़ नहीं आया तो दियत नहीं है वरना दाँत की पूरी दियत वाजिब है(आलमगीरी स.25 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.515 जि.5)

मसअला.255:– किसी ने किसी के दाँत पर ऐसी ज़र्ब लगाई कि दाँत हिल गया तो एक साल की मोहलत दी जाये अगर इस मुद्दत में दाँत सुर्ख़, सब्ज़ या स्याह पड़ गया और चबाने के क़ाबिल नहीं रहा तो दाँत की पूरी दियत वाजिब होगी और अगर चबाने के क़ाबिल है लेकिन रंग बदल गया तो सामने के दाँतों में हुस्ने सूरी फ़ौत होजाने की वजह से दाँत की पूरी दियत वाजिब होगी और डाढ़ों और कीलों में नहीं है और अगर चबाने के क़ाबिल है लेकिन रंग पीला पड़गया तो दियत वाजिब नहीं होगी। (आलमगीरी स.26 जि.6, क़ाज़ीख़ाँ स.387 जि.4)

मसअला.256:– अगर ज़ारिब कहता है कि मेरी ज़र्ब से रंग नहीं बदला बल्कि मेरी ज़र्ब के बाद किसी दूसरी ज़र्ब से रंग बदला है और मजरूब इस की तकज़ीब करता है (झुटलाता है) तो अगर ज़ारिब अपनी क़ौल पर गवाह पेश करदे तो उसकी बात मान ली जायेगी वरना क़स्म के साथ मज़रूब का क़ौल मोअ्तबर होगा। (आलमगीरी स.26 जि.6 तबईनुल हक़ाइक़ स.137 जि.6)

ज़बान की दियत

मसअला.257:– किसी ने किसी की पूरी ज़बान काट दी या इस क़द्र काट दी कि कलाम पर क़ादिर न रहा तो पूरी दियते नफ़्स वाजिब है और अगर बाज़ हुरूफ़ के अदा करने पर क़ादिर है और बाज़ पर नहीं तो यह देखा जायेगा कि कितने हुरूफ़ अदा कर सकता है जितने हुरूफ़ अदा कर सकता है उसके बक़द्र दियत साक़ित होजायेगी मसलन अगर आधे हुरूफ़ हिज्जा अदा कर सकता है तो आधी दियत साक़ित होजायेगी और अगर चौथाई हुरूफ़ अदा कर सकता है तो चौथाई दियत साक़ित होजायेगी। व अ़ला हाज़ल क़ियास। (आलमगीरी स.26 जि.6, शामी दुर्रेमुख़्तार स.506 जि.5)

मसअला.258:– अगर ज़बान काटने वाले और उस शख़्स में जिसकी ज़बान काटी गई यह इख़्तिलाफ़ है कि कलाम पर क़ुदरत है या नहीं तो ख़ुफ़िया तरीक़े से यह मा़लूम करना होगा कि वह कलाम कर सकता है या नहीं। (आलमगीरी स.26 जि.6, बहरुर्राइक़ स.330 जि.8)

मसअला.259:– गूंगे की ज़बान को काटने की सूरत में हुकूमते अ़दल है।(आलमगीरी स.26 जि.6,)

मसअला.260:– ऐसे बच्चे की ज़बान काट दी जिस ने अभी बोलना नहीं शुरूअ् किया सिर्फ़ रोता है तो हुकूमते अ़दल है और अगर बोलने लगा है तो दियत है(आलमगीरी स.26 जि.6 तबईनुल हक़ाइक़ 334 जि.6)

मसअला.261:– दोनों हाथ ख़ताअ़न काटने की सूरत में पूरी दियते नफ़्स वाजिब है और एक में निस्फ़ और इस में दाहिना बायें हाथ में कोई फ़र्क़ नहीं है।(आलमगीरी स.26 जि.6 फ़त्ह व हिदाया स.310 जि.8)

मसअला.262:– ख़ुन्सा का हाथ काटने वाले पर औ़रत के हाथ की दियत वाजिब होगी(आलमगीरी)

मसअला.263:– हर उंगली में दियते नफ़्स का दसवाँ हिस्सा है और जिन उंगलियों में तीन जोड़ हैं एक जोड़ पर उंगली की दियत का तिहाई हिस्सा है और जिसमें दो जोड़ हैं उनमें एक जोड़ पर उंगली की दियत का निस्फ़ हिस्सा है। (आलमगीरी स.26 जि.6 दुर्रेमुख़्तार व शामी स.508 जि.5)

मसअला.264:– ज़ाइद उंगली काटने पर हुकूमते अ़द्ल ह(आलमगीरी स.26 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.513 जि.5)

मसअला.265:– शल हाथ या लंगड़ा पैर काटने पर हुकूमते अ़दल है(आलमगीरी स.26 जि.6 क़ाज़ीख़ाँ स.338 जि.4)

मसअला.266:– किसी ने किसी की ऐसी हथेली को काट दिया जिसमें पाँचों उंगलियाँ, या चार, या

तीन, या दो, या एक, उंगली या किसी उंगली का सिर्फ़ एक पोरा लगा हुआ था तो उंगलियों या पोरे की दियत होगी और हथेली की कुछ दियत नहीं होगी(आलमगीरी स.26 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.512 जि.5)

मसअ्ला.267:– और अगर ऐसी हथेली को काटा जिसमें न कोई उंगली थी और न किसी उंगली का जोड़ था तो ऐसी हथेली में हुकूमते अ़द्ल है और यह तावान एक उंगली की दियत से कम होगा। (बहरुर्राइक़ स.337 जि.8, शामी स.512 जि.5, मब्सूत स.82 जि.26)

मसअ्ला.268:– किसी के हाथ पर ऐसा मारा कि हाथ शल होगया तो हाथ की पूरी दियत वाजिब होगी जो दियते नफ़्स की निस्फ़ होगी।(आलमगीरी स.26 जि.9, दुर्रेमुख़्तार व शामी जि.5)

मसअ्ला.269:– अगर कलाई या बाजू तोड़ दिया तो हुकूमते अ़द्ल है। (आलमगीरी स.26 जि.6)

मसअ्ला.270:– किसी की उंगली का एक पोरा काट दिया जिस की वजह से बाक़ी उंगली या पूरा हाथ ऐसा शल होगया कि क़ाबिले इन्तिफ़ाअ् (काम के लायक़) नहीं रहा तो पूरी उंगली की या पूरे हाथ की दियत होगी और अगर क़ाबिले इन्तिफ़ाअ् है तो पूरे की दियत और शल हिस़्से में हुकूमते अ़द्ल होगी। (शामी स.513 जि.5, आलमगीरी स.26 जि.6)

मसअ्ला.271:– उंगली के पोरे का बाज़ हिस़्सा काटने में हुकूमते अ़द्ल है अगर नाख़ुन जुदा कर दिया और फिर दूसरा नाख़ुन मिस़्ल पहले के उग गया तो नाख़ुन में कुछ नहीं और अगर न उगा तो हुकूमते अ़द्ल है और अगर ख़राब उगा तो भी हुकूमते अ़द्ल है मगर न उगने की सूरत से कम होगी। (आलमगीरी स.27 जि.6, बदाइअ् सनाइअ् स.323 जि.7)

मसअ्ला.272:– ऐसे कमज़ोर छोटे बच्चे का हाथ या पैर या ज़कर काट दिया जिसने अभी हाथ पैर हिलाये तक न थे और ज़कर में हरकत न थी तो हुकूमते अ़द्ल है और अगर हाथ पैर हिलाता था और ज़कर में हरकत थी तो पूरी दियत है। (आलमगीरी स.27 जि.6)

मसअ्ला.273:– मर्द के दोनों पिस्तान काटने में हुकूमते अ़द्ल है और अगर सिर्फ़ घुन्डियाँ काटी हैं तो इस से कम हुकूमते अ़द्ल है और एक पिस्तान काटा तो इसका निस्फ़ है और एक घुन्डी काटी तो इस का निस्फ़ है। (आलमगीरी व शामी स.508 जि.5)

मसअ्ला.274:– हंसली या पस्ली की हड्डी तोड़ देने में हुकूमते अ़द्ल है। (आलमगीरी स.27 जि.6)

मसअ्ला.275:– औरत के दोनों पिस्तान या दोनों घुन्डियाँ काट दीं तो पूरी दियते नफ़्स है और एक में निस्फ़ दियते नफ़्स है और इस हुक्म में स़ग़ीरा और कबीरा में कोई फ़र्क़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.276:– किसी की पीठ पर ऐसी ज़र्ब लगाई कि कुव्वते जिमाअ् (सम्भोग की ताक़त) जाती रही या रतूबते नुख़ाईया (वह रतूबत जो वीर्य पैदा होने का सबब बनती है) ख़ुश्क होगई या कुबड़ा होगया तो पूरी दियत है। (आलमगीरी स.27 जि.6, तबईनुल'हक़ाइक़ स.132 जि.6)

मसअ्ला.277:– और अगर कुबड़ा न हुआ और मनफ़अ़ते जिमाअ् भी फ़ौत न हुई मगर निशाने ज़ख़्म बाक़ी रहा तो हुकूमते अ़द्ल है और अगर निशान भी बाक़ी न रहा तो उजरते तबीब है(आलमगीरी जि.6)

मसअ्ला.278:– अगर कुबड़ा था मगर ज़र्ब के बाद सीधा होगया तो कुछ नहीं।(तबईनुल'हक़ाइक़ स.132 जि.6)

मसअ्ला.279:– औरत की सीने की हड्डी तोड़दी जिससे पानी ख़ुश्क होगया तो दियते नफ़्स है(आलमगीरी स.27)

मसअ्ला.280:– ज़कर काटने की सूरत में पूरी दियत है और ख़स़्सी का ज़कर काटने की सूरत में हुकूमते अ़द्ल ख़्वाह उसमें हरकत होती हो या न होती हो और जिमाअ् पर क़ादिर हो या न हो और इन्नीन और ऐसा शैख़े कबीर जो जिमाअ् पर क़ादिर न हो उनका भी यही हुक्म है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.281:– हश्फ़ा (आलाए तनासुल का सर) काटने की सूरत में पूरी दियते नफ़्स है और अगर पहले हश्फ़ा काटा इसके बाद मा'बक़िया उ़ज़्व भी काट दिया तो अगर दरम्यान में सेहत नहीं हुई थी तो एक ही दियत है और अगर दरम्यान में सेहत होगई थी तो हश्फ़ा में पूरी दियते नफ़्स और बाक़ी में हुकूमते अ़द्ल है। (आलमगीरी स.28 जि.6)

मसअ्ला.282:– ख़ुसयतैन काटने की सूरत में पूरी दियते नफ़्स है। (आलमगीरी स.28 जि.6)

मसअ्ला.283:– तन्दुरुस्त आदमी के खुसयतैन व ज़कर ख़ताअ्न काटने की सूरत में अगर पहले ज़कर काटा और बाद में खुसयतैन तो दो दियतें लाज़िम होंगी और अगर पहले खुसयतैन काटे और फ़िर ज़कर तो खुसयतैन में पूरी दियते नफ़्स और ज़कर में हकूमते अ़दल है और अगर रानों की जानिब से इस तरह काटा कि सब एक साथ कट गये तब भी दो दियतें लाज़िम होंगी(आलमगीरी स.28 जि.6)

मसअ्ला.284:– अगर खुसयतैन में से एक काटा कि पानी मुन्क़तअ् होगया तो पूरी दियत है और अगर पानी मुन्क़तअ् नहीं हुआ तो निस्फ़ दियत है। (आलमगीरी स.28 जि.6)

मसअ्ला.285:– अगर दोनों चूतड़ (सुरीन) ख़ताअ्न इस तरह काटे कि कूल्हे की हड्डी पर गोश्त न रहा तो पूरी दियते नफ़्स है और अगर गोश्त बाक़ी रहगया तो हुकूमते अ़दल है।(क़ाज़ीख़ाँ स.325 जि.4)

मसअ्ला.286:– पेट पर ऐसा नेज़ा मारा कि इम्साके गिज़ा (पेट में गिज़ा का रुकना) ना'मुम्किन होगया या मिक़अ़द (पीछे के मकाम) पर ऐसा नेज़ा मारा कि पैट में गिज़ा नहीं ठहर सकती या पेशाब रोकने पर क़ादिर न रहा और सल्सुलबौल (एक बीमारी जिस में वकफ़े वकफ़े से पेशाब के क़तरे गिरते रहते हैं) में मुब्तला होगया या औ़रत के दोनों मख़्रज फटकर एक होगये और पेशाब रोकने की कुदरत न रही तो इन सब सूरतों में पूरी दियते नफ़्स है(आलमगीरी स.28 जि.6, क़ाज़ीख़ाँ स.384 जि.4)

मसअ्ला.287:– औ़रत की शर्मगाह को ख़ताअ्न ऐसा काट दिया कि उसमें पेशाब रोकने की कुदरत न रही या वह जिमाअ् के क़ाबिल न रही तो पूरी दियते नफ़्स है।(आलमगीरी स.28 जि.6)

मसअ्ला.288:– औ़रत को ऐसा मारा कि वह मुस्तहाज़ा होगयी तो एक साल की मोहलत दी जायेगी अगर इस दौरान अच्छी होगई तो कुछ नहीं वरना पूरी दियत है।(आलमगीरी स.28 जि.6)

मसअ्ला.289:– ऐसी सग़ीरा से जिमाअ् किया जो इस क़ाबिल न थी और वह मरगई तो अजनबिया (यानी गैर मनकूहा) होने की सूरत में आ़क़िला पर दियत है और मन्कूहा होने की सूरत में आ़क़िला पर दियत है और शौहर पर महर।(आलमगीरी स.28 जि.6)

मसअ्ला.290:– इज़ालाए अ़क्ल, समअ्, बस्र, शुम, कलाम, ज़ौक़, (अ़क्ल, सुन्ने की कुव्वत, देखने की सलाहियत, सूंघने की ताक़त, बोलने की सलाहियत, चखने की सलाहियत को ख़त्म करदेना (अमीनुल क़ादरी)) इन्ज़ाल, कुभ पैदा करने, सर और दाढ़ी के बाल मूंडने, दोनों कान, दोनों भवों, दोनों आँखों के पपोटों, दोनों हाथों, या दोनों पैरों की उंगलियों, औ़रत के पिस्तानों की दोनों घुन्डियों के काटने में, औ़रत के मख़्रजैन का इस तरह एक कर देना कि पेशाब या पाख़ाने के इम्साक की कुदरत न रहे, हश्फ़ा, नाक के नर्म हिस्से, दोनों होंटों, दोनों जबड़ों, दोनों चूतड़ों, ज़बान के काटने, चेहरे के टेढ़ा कर देने, औ़रत की शर्मगाह को इस तरह काट देने में कि जिमाअ् के क़ाबिल न रहे, और पेट पर ऐसी ज़र्ब लगाने में कि पानी मुन्क़तअ् होजाये, पूरी दियते नफ़्स है बशर्ते कि यह जराइम ख़ताअ्न सादिर हों(क़ाज़ीख़ाँ स.386 जि.4)

मसअ्ला.291:– किसी बाकिरा लड़की को धक्का दिया कि वह गिर पड़ी और उसकी बुकारत ज़ाइल होगई (कुंवारापन ख़त्म होगया) तो धक्का देने वाले पर महरे मिस्ल लाज़िम। (आलमगीरी स.28 जि.6)

मसअ्ला.292:– किसी रस्सी पर दो आदमियों ने झगड़ा किया और हर आदमी एक एक सिरा पकड़ कर खींच रहा था तीसरे ने आकर दरमियान से रस्सी काट दी और वह दोनों शख़्स गिर पड़े और मरगये रस्सी काटने वाले पर न क़िसास है न दियत।(क़ाज़ीख़ाँ स.387 जि.4)

फ़स्लुन फ़िश्शुजाज

चेहेरे और सर के ज़ख़्मों का बयान

(चेहेरे और सर के ज़ख़्मों को शुजाज कहते हैं)

मसअ्ला.293:– इस की दस क़िस्में बयान की गई हैं 1.हारिसा 2.दामिआ 3.दामिया 4.बादिआ 5.मुतलाहिमा 6.सिमहाक़ 7.मौज़िहा 8.हाशिमा 9.मुन्क़िला 10.आम्मा

1. **हारिसा:**जिल्द के उस ज़ख़्म को कहते हैं जिसमें जिल्द पर ख़राश पड़ जाये मगर ख़ून न छनके
2. **दामिआ:**सर की जिल्द के उस ज़ख़्म को कहते हैं जिसमें ख़ून छनक आये मगर बहे नहीं।

3. दामिया:सर की जिल्द के उस ज़ख़्म को कहते हैं जिस में ख़ून बह जाये।
4. बाज़िआ़:जिस में सर की जिल्द कट जाये
5. मुतलाहिमा:जिस में सर का गोश्त भी फट जाये
6. सिमहाक़:जिस में सर की हड्डी के ऊपर की झिल्ली तक ज़ख़्म पहुँच जाये
7. मौज़ेहा:जिस में सर की हड्डी नज़र आजाये।
8. हाशिमा:जिस में सर की हड्डी टूट जाये
9. मुन्क़िल्ला:जिस में सर की हड्डी टूट कर हट जाये
10.आम्मा:वह ज़ख़्म जो उम्मुद्दिमाग़ यानी दिमाग़ की झिल्ली तक पहुँच जाये।
इनके एलावा ज़ख़्मों की एक क़िस्म जाइफ़ा भी की गई है जिस के मअ़ना यह हैं कि जौफ़ तक पहुँचे और यह ज़ख़्म पीठ, पेट और सीने में होता है और अगर गले का ज़ख़्म ग़िज़ाई नाली तक पहुँच जाये तो वह भी जाइफ़ा है। (आलमगीरी स.28 जि.6, शामी स.510 जि.5, बहरुर्राइक़ स.333 जि.8)

मसअ्ला.294:– मौज़ेहा और उससे कम ज़ख़्म अगर क़स्दन लगाये गये हों तो उनमें क़िसास़ है और अगर ख़ताअ्न हों तो मौज़ेहा से कम ज़ख़्मों में हकूमते अ़द्ल है और मौज़ेहा में दियते नफ़्स का बीसवाँ हिस्सा है और हाशिमा में दियते नफ़्स का दसवाँ हिस्सा है और मुन्क़िला में दियते नफ़्स का पन्द्रह फ़ीसद हिस्सा और आम्मा और जाइफ़ा में दियत का तिहाई हिस्सा है। हाँ अगर जाइफ़ा आर पार होगया तो दो तिहाई दियत है। (आलमगीरी स.29 जि.2 बहरुर्राइक़ स.334 जि.8)

मसअ्ला.295:– हाशिमा, मुन्क़िला, आम्मा अगर क़स्दन भी लगाये तो क़िसास़ नहीं है चूंकि मसावात मुम्किन नहीं है इस लिये उन में ख़ताअ्न और अ़मदन दोनों सूरतों में दियत है।(आलमगीरी स.29 जि.6)

मसअ्ला.296:– अगर किसी ने किसी के चेहरे या सर के किसी हिस्से पर ऐसा ज़ख़्म लगाया कि अच्छा होने के बाद उसका असर भी ज़ाइल होगया तो उस पर कुछ नहीं। (आलमगीरी स.29 जि.2)

मसअ्ला.297:– चेहरे और सर के एलावा जिस्म के किसी हिस्से पर जो ज़ख़्म लगाया जाये उस को जराहत कहते हैं और इस में हकूमते अ़द्ल है। (शामी स.510 जि.5 व दुर्रेमुख़्तार फ़त्हुलक़दीर स.312 जि.8)

मसअ्ला.298:– सर और चेहरे के एलावा जिस्म के दूसरे ज़ख़्मों में हकूमते अ़द्ल उसी वक़्त है जब ज़ख़्म अच्छे होने के बाद उसके निशानात बाक़ी रह जायें वरना कुछ नहीं है।(आलमगीरी स.29 जि.6)

मसअ्ला.299:– शजाज की जिन सूरतों में क़िसास़ वाजिब है उनमें ज़ख़्म की लम्बाई, चौड़ाई में मसावात के साथ क़िसास़ लिया जायेगा और सर के मुक़द्दम या मुअख़्ख़र हिस्सा या वस्त में जिस जगह भी ज़ख़्म होगा ज़ख़्मी करने वाले के उसी हिस्से में मसावात के साथ क़िसास़ लिया जायेगा(आलमगीरी)

मसअ्ला.300:– अगर क़रनैन (यानी पेशानी के दोनों अतराफ़) के माबैन पेशानी पर ऐसा मौज़ेहा लगाया कि क़रनैन से मिलगया और ज़ख़्म लगाने वाले की पेशानी बड़ी होने की वजह से इतना लम्बा ज़ख़्म लगाने से इस के क़रनैन तक नहीं पहुँचता है तो ज़ख़्मी को इख़्तियार दिया जायेगा कि चाहे तो क़िसास़ ले ले और जिस क़र्न से चाहे शुरूअ़ करके उतना लम्बा ज़ख़्म उसकी पेशानी पर लगादे और अगर चाहे तो अर्श लेले। और अगर ज़ख़्मी करने वाले की पेशानी छोटी है कि मसावात से क़िसास़ लेने की सूरत में ज़ख़्म क़रनैन से तजावुज़ कर जाता है तब ज़ख़्मी को इख़्तियार है कि चाहे अर्श लेले और चाहे तो सिर्फ़ क़रनैन के दरम्यान ज़ख़्म लगाकर क़िसास़ लेले। क़रनैन से ज़ख़्म मुताजावज़ (ज़्यादा) नहीं होना चाहिए। (सनाइअ़ बदाइअ़ स.309 जि.7, आलमगीरी स.29 जि.6)

मसअ्ला.301:– अगर इतना लम्बा ज़ख़्म लगाया कि पेशानी से गुद्दी तक पहुँच गया तो ज़ख़्मी को हक़ है कि उसी जगह पर इतना ही बड़ा ज़ख़्म लगाकर क़िसास़ ले या अर्श ले अगर ज़ख़्मी को इख़्तियार है कि चाहे अर्श लेले और चाहे इतना लम्बा ज़ख़्म लगाकर क़िसास़ लेले। ख़्वाह पेशानी की तरफ़ से शुरूअ़ करे ख़्वाह गुद्दी की तरफ़ से। (आलमगीरी स.29 जि.6, मब्सूत स.146 जि.26)

मसअ्ला.302:– अगर बीस मोज़ेहा ज़ख़्म लगाये और दरम्यान में सेहत न हुई तो पूरी दियते नफ़्स

तीन साल में अदा की जायेगी और अगर दरम्यान में सेहत वाक़ेअ् होगई तो एक साल में पूरी दियते नफ़्स अदा करनी होगी।(आलमगीरी अज़ काफ़ी स.29 जि.6)

मसअ्ला.303:– किसी के सर पर ऐसा मौज़ेहा लगाया कि उस की अ़क्ल जाती रही या पूरे सर के बाल ऐसे उड़े कि फिर न उगे तो सिर्फ़ दियते नफ़्स वाजिब होगी और सर के बाल मुख़्तलिफ़ जगहों से उड़गये तो बालों की हुकूमते अ़द्ल और मोज़ेहा की अर्श में से जो ज़्यादा होगा वह लाज़िम आयेगा। यह हुक्म इस सूरत में है कि बाल फिर न उगें लेकिन अगर दोबारा पहले की तरह बाल उग आयें तो कुछ लाज़िम नहीं है। (शामी व दुर्रेमुख़्तार स.513 जि.5 आलमगीरी स.29 जि.7)

मसअ्ला.304:– किसी की भवों पर ख़ताअ्न ऐसा मोज़ेहा लगाया कि भवों के बाल गिर गये और फिर न उगे तो सिर्फ़ निस्फ़ दियत लाज़िम होगी। (आलमगीरी स.30 जि.6)

मसअ्ला.305:– किसी के सर पर ऐसा मौज़ेहा लगाया कि उस से सुनने या देखने या बोलने के क़ाबिल न रहा तो उस पर नफ़्स की दियत के साथ मौज़ेहा का अर्श भी वाजिब है यह हुक्म इस सूरत में है कि उस ज़ख़्म से मौत न हुई हो और अगर मौत वाक़ेअ् होगई तो अर्श साक़ित हो जायेगा और अ़मद की सूरत में जनायात करने वाले के माल से तीन साल में दियत अदा की जायेगी और ब'सूरते ख़ता आ़क़िला पर तीन साल में दियत है। (शामी व दुर्रेमुख़्तार स.513 जि.5)

मसअ्ला.306:– किसी ने किसी के सर पर ऐसा मौज़ेहा अ़मदन लगाया कि उस की बीनाई जाती रही तो ज़िहाबे बस्र और मौज़ेहा दोनों की दियतें वाजिब होंगी(आलमगीरी स.30 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी 513 जि.5)

मसअ्ला.307:– कोई शख़्स बुढ़ापे की वजह से चन्दला होगया था उसके सर पर किसी ने अ़मदन मौज़ेहा लगाया तो क़िसास नहीं लिया जायेगा दियत लाज़िम होगी और अगर ज़ख़्म लगाने वाला भी चन्दला है तो क़िसास लिया जायेगा। (आलमगीरी स.30 जि8)

मसअ्ला.308:– हर वह जनायत जो बिल'क़स्द हो लेकिन शुबह की वजह से क़िसास साक़ित होगया हो और दियत वाजिब होगई तो जनायत करने वाले के माल से दियत अदा की जायेगी और आ़क़िला से मुतालबा नहीं किया जायेगा और यही हुक्म हर उस माल का है जिस पर बिल'क़स्द जनायत की सूरत में सुलह की गई हो। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.468 जि.5 फ़त्हुलक़दीर स.322जि.)

मसअ्ला.309:– हुकूमते अ़द्ल से जो माल लाज़िम आता है वह जनायत करने वाले के माल से अदा किया जायेगा आ़क़िला से इस का मुतालबा नहीं किया जा सकता।(दुर्रेमुख़्तार व शामी स.516 जि.5)

फ़स्लुन फ़िल'जनीन (हमल का बयान)

मसअ्ला.310:– किसी ने किसी हामिला औरत को ऐसा मारा या डराया या धमकाया या कोई ऐसा फ़ेअ्ल किया जिसकी वजह से ऐसा मरा हुआ बच्चा साक़ित हुआ जो आज़ाद था अगर्चे उसके अअ्ज़ा की ख़िलक़त मुकम्मल नहीं हुई थी बल्कि सिर्फ़ बाज़ अअ्ज़ा ज़ाहिर हुए थे तो मारने वाले के आ़क़िला पर मर्द की दियत का बीसवाँ हिस्सा यानी पाँच सौ दिरहम एक साल में वाजिबुल'अदा होंगे साक़ित शुदा बच्चा मुज़क्कर हो या मुअन्नस और माँ मुस्लिमा हो या किताबिया या मजूसिया सब का एक ही हुक्म है। (शामी व दुर्रेमुख़्तार स.516 जि.5, आलमगीरी स.34 जि.6)

मसअ्ला.311:– अगर मज़कूरतुस्सद्र अस्बाब के तहत ज़िन्दा बच्चा साक़ित हुआ फिर मरगया तो पूरी दियते नफ़्स आ़क़िला पर वाजिब होगी और कफ़्फ़ारा ज़ारिब पर वाजिब है और अगर मुर्दा साक़ित हुआ और उसके बाद माँ भी मरगई तो माँ की पूरी दियत और बच्चे की दियत गुर्रा यानी पाँचसौ दिरहम आ़क़िला पर वाजिब होंगे। (दुर्रे मुख़्तार व शामी स.517 जि.5 आलमगीरी स34 जि.6)

मसअ्ला.312:– अगर मज़कूरा असबाब के तहत हामिला मरगई फिर मरा हुआ बच्चा ख़ारिज हुआ तो सिर्फ़ औरत की दियते नफ़्स आ़क़िला पर वाजिब है।(दुर्रेमुख़्तार व शामी स.517 जि.5 आलमगीरी स.35 जि.6)

मसअ्ला.313:– अगर मज़कूरा असबाब की बिना पर दो मुर्दा बच्चे साक़ित हुए तो दो गुर्रे यानी एक हज़ार दिरहम आ़क़िला पर वाजिब होंगे। और अगर एक ज़िन्दा पैदा होकर मरगया और दूसरा

मुर्दा पैदा हुआ तो ज़िन्दा पैदा होने वाले की दियते नफ़्स और मुर्दा पैदा होने वाले का गुर्रा यानी पाँच सौ दिरहम आक़िला पर हैं और अगर माँ मरगई फिर दो मुर्दा बच्चे पैदा हुए तो सिर्फ़ माँ की दियते नफ़्स आक़िला पर वाजिब होगी और अगर माँ के मरने के बाद दो बच्चे ज़िन्दा पैदा होकर मरगये तो आक़िला पर तीन दियतें वाजिब होंगी और अगर एक मुर्दा बच्चा माँ की मौत से पहले खारिज हुआ और दूसरा मुर्दा बच्चा माँ की मौत के बाद तो पहले पैदा होने वाले का गुर्रा और माँ की दियते नफ़्स आक़िला पर है और बाद में पैदा होने वाले का कुछ नहीं(शामी स.517 जि.5 आलमगीरी स.35 जि.6)

मसअ्ला.314:– अगर माँ की मौत के बाद ज़िन्दा बच्चा साक़ित होकर मर गया तो माँ और बच्चा दोनों की दो दियतें आक़िला पर वाजिब हैं। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.518 जि.5, आलमगीरी स.35 जि.6)

मसअ्ला.315:– इस्क़ात की उन सब सूरतों में जिन में जनीन का गुर्रा या दियत लाज़िम होगी वह जनीन के वुरसा में तक़सीम की जायेगी और उसकी माँ भी इसकी वारिस् होगी, साक़ित करने वाला वारिस् नहीं होगा। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.518 जि.5, आलमगीरी स.34 जि.6)

मसअ्ला.316:– किसी ने ह़ामिला के पेट पर तलवार मारी कि रह़म को काट कर दो जनीनों को मजरूह़ कर गई और एक मजरूह़ ज़िन्दा साक़ित हुआ और दूसरा मजरूह मुर्दा साक़ित हुआ और औरत भी मरगई तो औरत का क़िसास लिया जायेगा और ज़िन्दा साक़ित होने वाले बच्चे की दियत और मुर्दा पैदा होने वाले बच्चे का गुर्रा आक़िला पर वाजिब होगा। (दुर्रेमुख़्तार स.540 जि.5)

मसअ्ला.317:– किसी ने ह़ामिला के पेट पर छुरी मारी जिस की वजह से रह़म में बच्चे का हाथ कट गया और वह ज़िन्दा पैदा हुआ और माँ भी ज़िन्दा रही तो बच्चे के हाथ की वजह से निस्फ़ दियते नफ़्स आक़िला पर वाजिब होगी। (आलमगीरी स.36 जि.6)

मसअ्ला.318:– शौहर ने अपनी ह़ामिला बीवी को ऐसा डराया, धमकाया, मारा कि मुर्दा बच्चा साक़ित होगया तो शौहर के आक़िला पर गुर्रा लाज़िम है और यह उस बच्चे का वारिस् नहीं होगा।

मसअ्ला.319:– किसी ने अपनी ह़ामिला बीवी को डराया धमकाया या ऐसा मारा कि एक बच्चा ज़िन्दा साक़ित होकर मरगया फिर दूसरा मुर्दा साक़ित हुआ फिर वह औरत भी मरगयी तो इस शख़्स के आक़िला पर बीवी और ज़िन्दा पैदा होने वाले बच्चे की दो दियतें और मुर्दा साक़ित होने वाले बच्चे का गुर्रा वाजिब होगा और इस शख़्स पर दो कफ़्फ़ारे वाजिब होंगे।(आलमगीरी स.35 जि.6)

मसअ्ला.320:– बच्चे का सर ज़ाहिर हुआ और वह चीख़ा कि एक शख़्स ने उसको ज़बह कर दिया तो इस पर गुर्रा है। (आलमगीरी अज़ ख़ज़ानतुलमुफ़्तीन स.35 जि.6)

मसअ्ला.321:– अगर ह़ामिला बाँदी को डराया, धमकाया या ऐसा मारा कि उसका ऐसा ह़मल साक़ित होगया जो ज़िन्दा पैदा होता तो गुलाम होता तो उसके ज़िन्दा रहने की सूरत में उसकी जो क़ीमत होती मुज़क्कर में उसकी क़ीमत का बीसवाँ और मुअन्नस में क़ीमत का दसवाँ मारने वाले के माल में नक़्द लाज़िम आयेगा। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.518 जि.5 आलमगीरी स.35 जि.6)

मसअ्ला.322:– अगर मज़कूरा बाला सूरत में मुज़क्कर व मुअन्नस होने का पता न चले तो जिस की क़ीमत कम होगी वह लाज़िम होगी और अगर बाँदी के मालिक और ज़ारिब में साक़ित शुदा ह़मल की क़ीमत की तअ़्ईन में इख़्तिलाफ़ हो तो ज़ारिब की बात मानी जायेगी।

मसअ्ला.323:– अगर मज़कूरा बाला सूरत में ज़िन्दा बच्चा पैदा हुआ जिससे बांदी में कोई नक़्स पैदा होकर उसकी क़ीमत घट गई तो ज़ारिब पर जनीन की क़ीमत लाज़िम होगी और यह क़ीमत अगर बांदी की क़ीमत में जो कमी वाक़ेअ़् हुई इस से कम हो तो इस कमी को जनीन की क़ीमत में इज़ाफ़ा करके पूरा कर दिया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.518 जि.5)

मसअ्ला.324:– मज़कूरा बाला सूरत में बांदी के मुर्दा ह़मल गिरा फिर बांदी भी मर गई तो ज़ारिब पर बाँदी की क़ीमत तीन साल में वाजिबुल'अदा होगी। (आलमगीरी स.35 जि.6)

मसअ्ला.325:– मज़कूरा बाला सूरत में ज़र्ब के बाद मौला ने ह़मल को आज़ाद कर दिया इस के

बाद ज़िन्दा बच्चा पैदा होकर मर गया तो इस बच्चे के जिन्दा होने की सूरत में जो कीमत होती वह ज़ारिब पर लाज़िम होगी। (आलमगीरी स.35 जि.6. दुर्रे मुख़्तार व शामी स.518 जि.5)

मसअ्ला.326:– किसी ने गैर की बांदी से ज़िना किया जिस से वह हामिला होगई फिर ज़ानी और उसकी बीवी ने कोई तदबीर करके हमल गिरा दिया इस से बांदी मरगई तो बांदी की कीमत और अगर हमल साकित हुआ था तो गुर्रा और अगर साकित होकर मरा तो उसकी पूरी कीमत वाजिब होगी और अगर मुद्गा (ऐसा हमल जिस में अभी जान नहीं पड़ी सिर्फ लोथड़ा हो) था तो कुछ नहीं(बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.327:– ज़र्ब वाकेअ् होने के बाद बांदी के मालिक ने बांदी को बेच दिया इसके बाद इस्क़ात हुआ(यानी हमल गिरगया)तो गुर्रा बेचने वाले को मिलेगा और अगर बच्चे का बाप ज़र्ब के वक़्त गुलाम था फिर आज़ाद होगया उसके बाद हमल साकित हुआ तो बाप को कुछ नहीं मिलेगा(आलमगीरी)

मसअ्ला.328:– मौला ने बांदी के हमल को आज़ाद कर दिया उसके बाद किसी शख़्स ने बांदी के पेट पर ज़र्ब लगाई कि मुर्दा हमल साकित हुआ और इस बच्चे का बाप आज़ाद था तो ज़ारिब पर गुर्रा लाज़िम है और गुर्रा बाप को मिलेगा। (आलमगीरी स.35 जि.6)

मसअ्ला.329:– हमल के वालिदैन में से जो ज़र्ब से पहले आज़ाद हो चुका होगा वह हमल के मुआवज़ा का हक़दार होगा, मौला नहीं होगा। (आलमगीरी स.35 जि.6)

मसअ्ला.330:– किसी ने हामिला बांदी ख़रीदी और क़ब्ज़ा नहीं किया था कि उसके हमल को आज़ाद कर दिया फिर किसी ने उसके पेट पर ज़र्ब लगाई जिस से मुर्दा बच्चा पैदा हुआ तो मुश्तरी को इख़्तियार है कि बांदी को पूरी क़ीमत में ले ले और ज़ारिब से आज़ाद बच्चे का अर्श वसूल करे और अगर चाहे तो बांदी की बैअ् को फ़स्ख़ करदे और बच्चे के हिस्से की क़ीमत उस पर लाज़िम होगी। (आलमगीरी स.36 जि.6 बहरुर्राइक़ स.342 जि.6)

मसअ्ला.331:– किसी ने अपनी बांदी से कहा जो किसी और से हामिला थी कि तेरे पेट में जो दो बच्चे हैं उन में से एक आज़ाद है और यह कह कर मौला मर गया फिर किसी ने इस हामिला को ऐसी ज़र्ब लगाई जिस से एक लड़का और एक लड़की मुर्दा पैदा हुआ तो ज़र्ब लगाने वाले पर लड़के का निस्फ़ गुर्रा और इस को गुलाम मान कर उस की क़ीमत का चालीसवाँ हिस्सा और लड़की का निस्फ़ गुर्रा और उस को बांदी मानकर जो क़ीमत होगी उसका बीसवाँ हिस्सा लाज़िम होगा। (आलमगीरी स.35 जि.6)

मसअ्ला.332:– किसी हामिला औरत ने अपने पेट पर ज़र्ब लगाकर या दवा पीकर या कोई और तदबीर करके अ़मदन अपने हमल को साकित कर दिया तो अगर बिग़ैर इजाज़ते शौहर ऐसा किया तो इस औरत के आक़िला पर गुर्रा लाज़िम होगा और अगर आक़िला न हों तो इस के माल से गुर्रा एक साल में अदा किया जायेगा और अगर शौहर की इजाज़त से ऐसा किया है तो कुछ लाज़िम नहीं है इसी तरह उसने अगर कोई दवा पी जिस से इस्क़ात (हमल को गिराना) मक़सूद न था मगर इस्क़ात होगया तो भी कुछ लाज़िम न होगा। (आलमगीरी स.35 जि.6, शामी 515 जि.5)

मसअ्ला.333:– अगर शौहर ने बीवी को इस्क़ात (हमल गिराने) की इजाज़त दी और बीवी ने किसी दूसरी औरत से इस्क़ात करा लिया तो यह दूसरी औरत भी ज़ामिन नहीं होगी(शामी व दुर्रेमुख़्तार स.520 जि.5)

मसअ्ला.334:– उम्मे वलद ने ख़ुद अपना हमल साकित कर लिया तो उस पर कुछ लाज़िम नहीं है। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स. 520 जि.5)

मसअ्ला.335:– किसी हामिला ने अ़मदन इस्क़ात (जानबूझ कर हमल गिराने) की दवा पी इससे ज़िन्दा बच्चा पैदा होकर मर गया तो इस के आक़िला पर दियत लाज़िम होगी और इस पर कफ़्फ़ारा लाज़िम है और वह वारिस् नहीं होगी और अगर मुर्दा बच्चा साकित हुआ तो इसके आक़िला पर गुर्रा है और इस पर कफ़्फ़ारा है और यह महरूमूल इर्स है और अगर मुद्गा साकित हुआ तो इस्तिग़फ़ार व तौबा करे। (बहरुर्राइक़ स.344 जि.8)

मसअ्ला.336:– ख़ुलअ् करने वाली हामिला ने इद्दत ख़त्म करने के लिए इस्क़ाते हमल कर लिया

तो इस पर शौहर के लिये ग़ुर्रा वाजिब है। (बहरुर्राइक स.344 जि.8, आलमगीरी स.36 जि.6)

मसअ्ला.337:– अगर किसी ने किसी के जानवर का हमल गिरा दिया तो अगर मुर्दा बच्चा पैदा हुआ है और इस से माँ की कीमत में नुक़सान आगया तो यह शख़्स इस नुक़सान का ज़ामिन होगा अगर क़ीमत में नुक़सान नहीं आया तो उस पर कुछ नहीं है और अगर ज़िन्दा बच्चा पैदा होकर मर गया तो मारने वाले के माल में से बच्चे की क़ीमत नक़्द अदा की जायेगी।(दुर्रेमुख़्तार व शामी स.520 जि.5)

मसअ्ला.338:– जनीन के अतलाफ़ में कफ़्फ़ारा नहीं है और जिस हमल में बाज़ अअ्ज़ा बन चुके हों उसका हुक्म तामुल'ख़िलक़त की तरह है।(मुकम्मल पैदा होने की तरह है) (बहरुर्राइक स.343 जि.8)

मसअ्ला.339:– अगर ऐसे मुदग़ा का इस्क़ात किया जिस में अअ्ज़ा नहीं बने थे और मोअ्तबर दाईयों ने यह शहादत दी कि यह मुदग़ा बच्चा बनने के क़ाबिल है अगर बाक़ी रहता तो इन्सानी सूरत इख़्तियार कर लेता तो इस में हकूमते अ़द्ल है। (शामी स.519 जि.5)

बच्चों से मुतअ़ल्लिक़ जनायात के अहकाम

मसअ्ला.340:– किसी शख़्स ने किसी आज़ाद बच्चे को अग़वा करलिया और बच्चा उसके पास ग़ाइब होगया तो इस अग़वा करने वाले को क़ैद किया जायेगा ता'वक़्तेकि बच्चा वापस आजाये या उसकी मौत का इल्म होजाये।(क़ाज़ीख़ाँ स.393)

मसअ्ला.341:– किसी ने किसी आज़ाद बच्चे को इग़वा किया और वह बच्चा उसके पास अचानक या किसी बीमारी से मरगया तो उस पर ज़मान नहीं है अगर किसी सबब से मस्लन सख़्त सर्दी या बिजली गिरने, पानी में डूबने, से छत से गिरने, या सांप के काटने से मरगया तो इग़वा करने वाले के आ़क़िला पर दियत लाज़िम होगी। (शामी व दुर्रे मुख़्तार स.547 जि.5 आ़लमगीरी स.34 जि.6)

मसअ्ला.342:– इसी त़रह अगर आज़ाद को इग़वा करके पा'बा'ज़न्जीर (बेड़ियां डाल देना) कर दिया और वह मज़कूरा बाला असबाब में से किसी सबब से मर गया तो भी इग़वा करने वाले के आ़क़िला पर दियत है और अगर उसको पा'बा'ज़न्जीर नहीं किया था और वह इन असबाबे मज़कूरा से ख़ुद को बचा सकता था मगर उसने बचने की कोशिश नहीं की और मर गया तो इग़वा करने वाले पर नफ़्स का ज़िमान नहीं है। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.547 जि.5 बहरुर्राइक स.390 जि.8)

मसअ्ला.343:– ख़त्ना करने वाले से कहा कि बच्चे की ख़त्ना करदे। ग़लती से बच्चे का हश्फ़ा कट गया और बच्चा मर गया तो ख़त्ना करने वाले के आ़क़िला पर निस्फ़ दियत होगी और अगर ज़िन्दा रहा तो पूरी दियत लाज़िम होगी। (शामी व दुर्रेमुख़्तार स.548 जि.5 आ़लमगीरी स.334 जि.6)

मसअ्ला.344:– किसी ने बच्चे को जानवर पर सवार करके कहा कि इसको रोके रहना और बच्चे ने जानवर को चलाया नहीं लेकिन गिरकर मर गया तो इस सवार करने वाले के आ़क़िला पर बच्चे की दियत लाज़िम होगी। (शामी व दुर्रेमुख़्तार स.548 जि.5, आ़लमगीरी स.33 जि.6)

मसअ्ला.345:– किसी ने बच्चे को जानवर पर सवार करके कहा कि इसको मेरे लिए रोके रहो इस बच्चे ने जानवर को चलाया और इस जानवर ने किसी शख़्स को कुचल कर हलाक कर दिया तो बच्चे के आ़क़िला पर इस मरने वाले की दियत लाज़िम होगी और सवार करने वाले पर कुछ नहीं है और अगर बच्चा इतना ख़ुर्द साल है कि जानवर पर सवारी नहीं कर सकता है तो इस सूरत में मरने वाले की दियत किसी पर लाज़िम नहीं होगी।(शामी व दुर्रेमुख़्तार स.548 जि.5, आ़लमगीरी स.33 जि.6)

मसअ्ला.346:– किसी ने बच्चे को जानवर पर सवार कर दिया और इससे कहा कि इसको रोके रहो बच्चे ने जानवर को चला दिया और गिरकर मरगया तो सवार करने वाले के आ़क़िला पर बच्चे की दियत नहीं हैं। (शामी स.548 जि.5 आ़लमगीरी स.33 जि.6)

मसअ्ला.347:– बच्चा किसी दीवार या पेड़ पर चड़ा हुआ था नीचे से किसी ने चीख़ कर कहा गिर मत जाना जिस से बच्चा गिर कर मरगया तो चीख़ने वाले पर कुछ नहीं है और अगर उस ने कहा कि कूद जा और बच्चा कूदा और मरगया तो उस कहने वाले पर बच्चे की दियत है(आलमगीरी स.33 जि.6)

मसअला.348:— अगर किसी ने इतने छोटे बच्चे को जानवर पर अपने साथ सवार कर लिया जो तन्हा जानवर पर सवार नहीं हो सकता और चला भी नहीं सकता उस जानवर ने किसी को कुचल कर हलाक कर दिया तो मरने वाले की दियत सिर्फ़ उस सवार के आक़िला पर होगी और सवार पर कफ़्फ़ारा भी है बच्चे के आक़िला पर कुछ नहीं है और अगर बच्चा सवारी को चला सकता है तो दोनों के आक़िला पर दियत लाज़िम होगी।(खानिया अलल्हिन्दिया स.447 जि.3, आलमगीरी स.33 जि6)

मसअला.349:— बाप अपने बच्चे का हाथ पकड़े हुए था इस बच्चे को किसी शख़्स ने खींचा और बाप इस बच्चे का हाथ पकड़े रहा और इस शख़्स के खींचने की वजह से बच्चा मरगया तो इस बच्चे की दियत खींचने वाले पर है और बाप बच्चे का वारिस् होगा और अगर दोनों ने खींचा और बच्चा मरगया तो दोनों पर दियत लाज़िम होगी। और बाप वारिस् नहीं होगा। (आलमगीरी स.33 जि6)

मसअला.350:— इतना छोटा बच्चा जो अपने नफ़्स की हिफ़ाज़त कर सकता है अगर पानी में डूब कर या छत से गिरकर मरजाये तो माँ बाप पर कुछ नहीं है और अगर अपने नफ़्स की हिफ़ाज़त नहीं कर सकता था तो जिस की निगरानी में था उस पर तौबा व इस्तिग़फ़ार लाज़िम है और अगर उसकी गोद से गिरकर मर गया तो कफ़्फ़ारा भी लाज़िम है(आलमगीरी स.33 जि6 काज़ी खाँ अलल्हिन्दिया स.447 जि.3)

मसअला.351:— माँ शीर'ख़्वार बच्चे को बाप के पास छोड़कर चलीगई और बच्चा दूसरी औरतों का दूध पी लेता था लेकिन बाप ने किसी दूध पिलाने वाली का इन्तिज़ाम न किया और बच्चा भूक से मरगया तो बाप पर कफ़्फ़ारा और तौबा लाज़िम है और अगर बच्चा दूसरी औरत का दूध क़बूल नहीं करता था और माँ यह बात जानती थी तो गुनाह माँ पर है माँ तौबा करे और कफ़्फ़ारा भी दे(आलमगीरी)

मसअला.352:— छः साल की बच्ची को बुख़ार था और आग के पास बैठी ताप रही थी बाप घर में न था माँ इसी हालत में बच्ची को छोड़कर कहीं चली गई और बच्ची जल कर मरगई तो माँ पर दियत नहीं है लेकिन तौबा व इस्तिग़फ़ार करे और मुस्तहब यह है कि कफ़्फ़ारा भी दे।(आलमगीरी)

मसअला.353:— किसी ने किसी बच्चे से कहा कि दरख़्त पर चढ़कर मेरे फल तोड़दे बच्चा दरख़्त से गिरकर मरगया तो चढ़ाने वाले के आक़िला पर दियत लाज़िम होगी इसी तरह कोई चीज़ उठाने को कहा या लकड़ी तोड़ने को कहा और बच्चा उस चीज़ को उठाने से या पेड़ से गिरकर मर गया तो इस हुक्म देने वाले के आक़िला पर बच्चे की दियत लाज़िम होगी। (आलमगीरी स.32 जि.6)

मसअला.354:— किसी ने बच्चा को हुक्म दिया कि फुलाँ शख़्स को क़त्ल करदे बच्चे ने क़त्ल कर दिया तो बच्चे के आक़िला पर दियत लाज़िम होगी फिर वह आक़िला इस दियत को हुक्म देने वाले के आक़िला से वसूल करेंगे। (आलमगीरी अज़ ख़ज़ानतुलमुफ़तीन स.30 जि6)

मसअला.355:— किसी बच्चे ने दूसरे बच्चे को हुक्म दिया कि फुलाँ शख़्स को क़त्ल करदे और उसने क़त्ल कर दिया तो क़त्ल करने वाले के आक़िला पर दियत लाज़िम है और यह दियत हुक्म देने वाले के आक़िला से वसूल नहीं करेंगे।(आलमगीरी स.30 जि.6, काज़ी खाँ अलल्हिन्दया स.445 जि.3, मब्सूत स.185 जि.26)

मसअला.356:— बच्चे ने किसी बालिग़ को हुक्म दिया कि फुलाँ को क़त्ल करदे और उसने क़त्ल कर दिया तो हुक्म देने वाला बच्चा ज़ामिन नहीं होगा। (काज़ीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.445 जि.3) इसी तरह बालिग़ ने अगर किसी दूसरे बालिग़ को हुक्म दिया और उसने क़त्ल कर दिया तो क़ातिल पर ज़िमान है हुक्म देने वाले पर नहीं। (ख़ानिया अलल्हिन्दिया स.445 जि.3, आलमगीरी स.30 जि.6)

मसअला.357:— किसी शख़्स ने बच्चे को हुक्म दिया कि फुलाँ शख़्स का खाना खाले या माल जलादे या उस के जानवर को हलाक करदे तो उस माल का ज़मान उस बच्चे के माल में लाज़िम है और बच्चे के औलिया इस ज़मान को अदा करने के बाद हुक्म देने वाले से वसूल करें।(ख़ानिया)और अगर बच्चे ने बालिग़ को उन कामों का हुक्म दिया और उसने अमल कर लिया तो बच्चे पर ज़मान नहीं है(आलमगीरी स.30 जि.6)

मसअला.358:— अगर किसी नाबालिग़ ने ना'बालिग़ा से ज़िना किया और इस की बुकारत (कुंवारपन) ज़ाइल करदी तो उस पर महरे मिस्ल लाज़िम आयेगा और अगर बालिग़ा की बुकारत ज़ब्र'दस्ती

जिना करके ना'बालिग़ ने ज़ाइल करदी तो भी इस पर महरे मिस्ल लाजिम आयेगा और अगर बालिग़ा से ना'बालिग़ ने ब'रजा ज़िना किया था तो महर लाज़िम नहीं है। (ख़ानिया अलहिन्दिया स.446 जि.3)

मसअ्ला.359:– बच्चे तीर अन्दाज़ी का खेल खेल रहे थे किसी नौ बरस तक के बच्चे का तीर किसी की आँख में लग गया जिस से वह शख़्स काना होगया तो उसकी आँख का तावान बच्चे के माल से अदा किया जायेगा उसके बाप पर कुछ नहीं है और अगर बच्चे के पास माल नहीं है तो जब माल मिलेगा तो उस वक़्त तावान अदा कर देगा मगर शर्त यह है कि यह बात शहादत से साबित हो कि इसी बच्चे का तीर उस शख़्स की आँख में लगा है सिर्फ़ बच्चे का इक़रार या उस के तीर का पाया जाना तावान के लिये काफ़ी नहीं है। (काज़ीख़ाँ अलहिन्दिया स.447 जि.3)

मसअ्ला.360:– किसी ने अपने किसी काम के लिये किसी बच्चे को वली की इजाजत के बिग़ैर कहीं भेजा रास्ते में बच्चा दूसरे बच्चों के साथ छत पर चढ़ गया और छत पर से गिरकर मर गया तो भेजने वाले पर ज़मान लाज़िम होगा। (काज़ीख़ाँ अलहिन्दिया स.447 जि.3)

मसअ्ला.361:– किसी ने बच्चे को इग़वा करके क़त्ल कर दिया उसके पास दरिन्दे ने फाड़ खाया या दीवार से गिरकर मर गया तो ग़ासिब ज़ामिन होगा। (काज़ीख़ाँ अलहिन्दिया स.34 जि.6)

मसअ्ला.362:– किसी ग़ुलाम ने आज़ाद बच्चे को सवारी पर सवार कर दिया बच्चा सवारी से गिर कर मरगया तो इस बच्चे की दियत ग़ुलाम पर है मौला ग़ुलाम ही को उसकी दियत में देदे या फ़िदया देदे और अगर सवारी पर ग़ुलाम भी सवार हुआ और सवारी को चलाया सवारी ने किसी को कुचल दिया और वह मर गया तो निस्फ़ दियत बच्चे के आक़िला पर है और निस्फ़ ग़ुलाम पर।

मसअ्ला.363:– किसी आज़ाद शख़्स ने ऐसे ना'बालिग़ ग़ुलाम बच्चे को सवारी पर सवार कर दिया जो सवारी पर ठहर सकता है और उसको चला भी सकता है फिर उस को हुक्म दिया कि वह जानवर को चलाये उसने किसी आदमी को कुचल कर मार दिया तो उसका तावान ग़ुलाम बच्चे पर है इस की दियत में मौला या तो ग़ुलाम को देदे या उसका फ़िदया देदे फिर वह मौला हुक्म देने वाले से यह रक़म वसूल करले। (काज़ीख़ाँ अलहिन्दिया स.447 जि.3 मब्सूत स.188 जि.26)

मसअ्ला.364:– किसी अ़ब्द माज़ून ने किसी बच्चे को हुक्म दिया कि फुलाँ के कपड़े फाड़दे या बच्चा को अपने काम के लिये भेजा और बच्चा हलाक होगया तो हुक्म देने वाला ज़ामिन होगा। [illegible]

मसअ्ला.365:– किसी बच्चे के पास ग़ुलाम को वदीअ़त रखा और इस बच्चे ने ग़ुलाम को क़त्ल कर दिया तो बच्चे के आक़िला पर ग़ुलाम की क़ीमत है। (बहरुर्राइक स.390 जि.8, आलमगीरी स.34 जि.6) और अगर माज़ूनुन्नफ़्स में जनायत की है तो उस का अर्श बच्चे के माल से अदा किया जायेगा।

मसअ्ला.366:– अगर किसी बच्चे के पास खाना बिला इजाज़ते वली अमानत रखा गया और बच्चे ने उसको खालिया तो उस पर ज़मान नहीं है। (बहरुराइक स.390 जि.8 आलमगीरी स.34 जि.6 शामी व दुर्रेमुख़्तार स.568 जि.5) और अगर वली की इजाज़त से रखा था तो ज़ामिन होगा जब कि बच्चा आक़िल हो वरना नहीं होगा। (हिदाया व इनाया स.382 जि.5)

मसअ्ला.367:– माँ, बाप या वसी ने बच्चे को तअ्लीमे कुर्आन के लिये मोअ्ताद तरीक़े से मारा जिस से बच्चा मरगया तो उन पर ज़मान नहीं है और यही हुक्म मुअल्लिम का भी है जब कि उसने उन की इजाज़त से मारा हो और अगर उन्होंने ग़ैर मोअ्ताद तरीक़े से मारा और बच्चा मरगया तो यह लोग ज़ामिन होंगे। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.498 जि.5)

मसअ्ला.368:– बाप या वसी ने बच्चा को तादीबन मारा और बच्चा मरगया तो उनपर ज़मान नहीं है जब कि मोअ्ताद तरीक़े पर मारा हो और अगर ग़ैर मोअ्ताद तरीक़े से मारा तो ज़मान है। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.369:– माँ ने अगर अपने बच्चों को तादीबन (अदब सिखाने के लिये) मारा और बच्चा मरगया तो बहर हाल माँ ज़ामिन होगी। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.498 जि.5)

मसअ्ला.370:– किसी ने बच्चे को हथियार दिये बच्चा उसको उठाने से थक गया और हथियार

उसके हाथ से उसपर गिरा और बच्चा मरगया तो असलहा देने वाले के आकिला पर दियत वाजिब होगी और अगर बच्चे ने इस असलहा से खुद कुशी करली या किसी दूसरे को क़त्ल कर दिया तो देने वाले पर ज़मान नहीं है। (आलमगीरी स.32 जि.6 काज़ीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.444 जि.3 मब्सूत स.185 जि.26)

मसअ्ला.371:– किसी ने आज़ाद बच्चे को ऐसे गुलाम बच्चे ने जो महजूर था हुक्म दिया कि फुलाँ शख़्स को क़त्ल करदे और उसने क़त्ल करदिया तो क़ातिल बच्चा ज़ामिन होगा और हुक्म देने वाले गुलाम बच्चे से उसका तावान उसके आज़ाद होने के बाद भी वापस नहीं ले सकेगा(काज़ीख़ाँ स.445 जि.3)

मसअ्ला.372:– और अगर बालिग़ा बांदी ने ना'बालिग़ को दअ़वते ज़िना दी और उसने ज़िना करके उसकी बुकारत ज़ाइल करदी तो बच्चे पर उसका महर लाज़िम है। (काज़ीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.446 जि.3)

दीवार वग़ैरा गिरने से हादिसात का बयान

मसअ्ला.373:– यह जानना ज़रूरी है कि ऐसी दीवार जो सलामी में हो यानी टेढ़ी हो अगर बनाते वक़्त उसके बनाने वाले ने टेढ़ी बनाई फिर वह किसी इन्सान पर गिरगई और वह मरगया या किसी के माल पर गिर पड़ी और वह तल्फ़ (बर्बाद) होगया तो दीवार के मालिक को ज़मान देना होगा ख़्वाह उस दीवार को गिराने का मुतालबा किया गया हो या न किया गया हो और अगर उस दीवार को सीधा बनाया था मगर बाद में टेढ़ी होगई मरूरे ज़माना की वजह (लम्बी मुद्दत गुज़रने की वजह से) से फिर किसी इन्सान पर गिर पड़ी या माल पर गिर पड़ी और उसको तल्फ़ करगई तो क्या दीवार के मालिक पर ज़मान है? हमारे उलमा–ए–सलासा के नज़्दीक अगर मुतालबा–ए–नक़्ज़ से पहले (यानी गिराने का मुतालबा करने से पहले) गिरी है तो उसका ज़मान नहीं है और मुतालबा–ए–नक़्ज़ से इतने बाद गिरी है जिसमें उसका गिराना मुम्किन था मगर उसने इसको नहीं गिराया तो क़यास चाहता है कि ज़मान न हो मगर इस्तेहसानन ज़ामिन होगा। हा'कज़ा फ़िज़्ज़ख़ीरा।

फिर जो जान तल्फ़ हुई इसकी दियत साहिबे दीवार के आक़िला पर है और जो माल तल्फ़ हो उसका ज़मान दीवार के मालिक पर है। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.526 जि.5 आलमगीरी स.36 जि.6)

मसअ्ला.374:– तक़द्दुम की तफ़सीर यह है कि साहिबे हक़ दीवार के मालिक से कहे कि तेरी दीवार ख़तरनाक है या कहे कि सलामी में है यानी टेढ़ी है तू इसको गिरादे ताकि किसी पर गिर न पड़े और उसको तल्फ़ न करदे और अगर यह कहा कि तुझ को चाहिए कि तू उसको गिरादे, तो यह मशवरा होगा मुतालबा न होगा। ब'हवालाए क़ाज़ी ख़ाँ तक़द्दुम में मुतालबा शर्त है इश्तिहाद शर्त नहीं है यहाँ तक कि अगर उसके गिराने का मुतालबा किये बिग़ैर इश्तिहाद के और मालिक दीवार ने इम्कान के बावजूद दीवार नहीं गिराई यहाँ तक कि वह खुद गिरगई और उससे कोई चीज़ तल्फ़ होगई और वह तल्फ़ का इक़रार करता है तो ज़मान देगा। गवाह बनाने का फ़ाइदा यह है कि अगर मालिके दीवार इन्कारे तलब करे तो गवाहों के ज़रीआ से तलब को साबित किया जासके(शामी स.526 जि.5)

मसअ्ला.375:– दीवार के मुतअ़ल्लिक़ दीवार गिराने का मुतालबा करना दीवार के मालिक से यही मलबा हटाने का मुतालबा है यहाँ तक कि अगर तक़द्दुम के बाद दीवार गिर पड़े और उसके मलबे से टकराकर कोई मरजाये तो दीवार के मालिक पर इस की दियत लाज़िम होगी(दुर्रेमुख़्तार व शामी स.528 जि.5)

मसअ्ला.376:– मकान की ज़ेरीं मन्ज़िल (निचली मन्ज़िल) एक शख़्स की है और बालाई, ऊपर की दूसरे की और पूरा मकान गिराऊ है और दोनों से गिराने का मुतालबा किया गया है फिर बालाई हिस्सा गिरा और इससे कोई आदमी हलाक होगया तो उसका ज़मान बालाई हिस्से के मालिक पर है।

मसअ्ला.377:– मालिके दीवार से गिराऊ दीवार के इन्हिदाम का मुतालबा किया गया उसने नहीं गिराई और मकान बेच दिया तो मुश्तरी ज़ामिन नहीं होगा हाँ अगर ख़रीदने के बाद उससे गिराने का मुतालबा कर लिया गया था और इस पर गवाह बना लिये गये थे तो यह ज़ामिन होगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.378:– लक़ीत (लावारिस मिला हुआ बच्चा) की गिराऊ दीवार के इन्हिदाम (गिराने) का मुतालबा किया गया था और उसने नहीं गिराई थी फिर वह दीवार गिरी जिससे कोई आदमी मरगया तो

उसकी दियत बैतुल'माल देगा इसी तरह वह काफ़िर जो मुसलमान होगया था उसने किसी से अक़्दे मवालात नहीं किया था उसकी दीवार के गिरने से हलाक होने वाले की दियत भी बैतुल'माल ही देगा। (क़ाज़ी खाँ अलल्हिन्दिया स.466 जि.3, बहरुर्राइक़ स.354 जि.8)

मसअला.379:– किसी की गिराऊ दीवार मुतालबा–ए–इन्हिदाम से पहले गिर पड़ी फिर उस से रास्ते पर से मलबा हटाने का मुतालबा किया गया और उसने न उठाया यहाँ तक कि उस से टकाराकर कोई आदमी या जानवर हलाक होगया तो यह ज़ामिन होगा।(क़ाज़ीखाँ अलल्हिन्दिया स.467 जि.3)

मसअला.380:– मुतालबा–ए–नक़्ज़ की सेहत के लिये यह शर्त है कि यह उस से किया जाये जिस को गिराने का हक़ हासिल है यहाँ तक अगर किरायादार या आरियत के तौर पर उस में रहने वाले से मुतालबा किया और उसने दीवार को नहीं गिराया हत्ता कि वह दीवार किसी इन्सान पर गिर पड़ी तो इस सूरत में किसी पर ज़मान नहीं है। (हिन्दिया अज ज़खीरा स.37 जि.6, दुर्रेमुख़्तार स.527 जि.5)

मसअला.381:– दीवार गिरने के वक़्त तक उस शख़्स का मालिक रहना भी शर्त है जिस पर मुतालबे के वक़्त गवाह बनाये गये थे यहाँ तक कि अगर उसकी मिल्क से वह दीवार बैअ़ के ज़रीआ ख़ारिज होगई और दूसरे की मिल्क में आने के बाद गिर पड़ी तो उसपर कुछ नहीं है(आलमगीरी)

मसअला.382:– दीवार के गिराऊ होने से क़ब्ल इश्तिहाद सहीह नहीं है चूंकि तअ़द्दी मअ़दूम है।(आलमगीरी)

मसअला.383:– अगर गिराऊ दीवार के मालिक से उसके गिराने का मुतालबा किया गया इस हाल में कि वह आक़िल, बालिग़ मुसलमान था और इस मुतालबए नक़्ज़ पर गवाह भी बना लिये गये फिर उस मालिक दीवार को तवीलुल'मीआद शदीद क़िस्म का जुनून होगया या मआज़ल्लाह वह मुर्तद होगया और दारुलहर्ब में चला गया और क़ाज़ी ने उस के दारुलहर्ब में चले जाने की तस्दीक़ करदी और फिर वह मुसलमान होकर वापस आगया और वह घर जिस की दीवार गिराऊ थी उस को वापस मिल गया इसके बाद वह गिराऊ दीवार किसी इन्सान पर गिर पड़ी जिस से वह मरगया तो उसका ख़ून हद्र है यानी उसका ज़मान किसी पर नहीं है इसी तरह जुनून से सेहत के बाद की सूरत का हुक्म है हाँ अगर मुर्तद के मुसलमान होने या मजनून के इफ़ाक़ा के बाद उन पर इश्तिहाद कर लिया है तो यह ज़ामिन होंगे। (ख़ानिया अलल्हिन्दिया स.464 जि.3 आलमगीरी स.37 जि.6)

मसअला.384:– इसी तरह अगर घर को बेच दिया बाद इस के कि इस से गिराऊ दीवार के गिराने का मुतालबा किया जा चुका था और इस पर गवाह भी क़ाइम कर लिये गये थे फिर वह मकान किसी ऐब की वजह से क़ज़ाए क़ाज़ी या बिला क़ज़ाए क़ाज़ी से उसकी मिल्क में लौट आया या ख़्यारे रूयत या ख़्यारे शर्त की वजह से जो मुश्तरी को था फिर वह दीवार गिर पड़ी और कोई चीज़ तलफ़ होगई तो मालिक दीवार पर ज़मान नहीं है हाँ अगर रद के बाद दोबारा इस से दीवार के गिराने का मुतालबा किया गया और इस पर गवाह भी पेश किये गये तो ज़ामिन होगा या बाइअ़ को इख़्तियार था और उसने बैअ़ को फ़स्ख़ कर दिया और उस के बाद दीवार गिर पड़ी और इस से कोई चीज़ तलफ़ होगई तो बाइअ़ ज़ामिन होगा। (आलमगीरी अज जहीरिया स.37 जि.6)

मसअला.385:– अगर बाइअ़ ने अपना ख़्यार साक़ित कर दिया और बैअ़ को वाजिब कर दिया तो इश्तिहाद (गवाह पेश करना) बातिल हो जायेगा चूंकि उसने दीवार को अपनी मिल्क से निकाल दिया। (काजी खाँ अलल्हिन्दिया स.464 जि.3, बहरूर्राइक स.355 जि.8, आलमगीरी स.37 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.527 जि.5)

मसअला.386:– किसी दीवार का बाज़ हिस्सा गिराऊ और बाज़ सहीह था सहीह हिस्सा गिर पड़ा जिस से कोई मर गया और गिराऊ हिस्सा नहीं गिरा ख़्वाह इस पर इश्तिहाद कर लिया गया हो यह ख़ून रायगाँ जायेगा। (बहरुर्राइक स.354 जि.8)

मसअला.387:– मुतालबा–ए–नक़्ज़ के बाद अगर किसी शख़्स पर दीवार गिर पड़े और वह मर जाये या दीवार गिरने के बाद उस के मलबे से टकराकर कोई गिर पड़े और मर जाये तो उसकी दियत मालिके दीवार के आक़िला पर है और अगर इस मय्यित से टकराकर कोई गिरे और मरजाये

तो इस की दियत न मालिके दीवार पर है न इस के आ़क़िला पर है अगर किसी ने रास्ते की त़रफ़ छज्जा निकाला और वह रास्ते में गिर पड़ा इसके गिरने से कोई मरगया या इसके मलबे से टकराकर मरगया या इस मुर्दे की लाश से टकराकर कोई गिर पड़ा और मरगया तो हर सूरत में छज्जे के मालिक पर दियत वाजिब होगी। (आलमगीरी स.36 जि.6 बहरुर्राइक स.354 जि.8)

मसअ्ला.388:– मुत़ालबा स़ाबित करने के लिये दो मर्दों या एक मर्द और दो औ़रतों की गवाही चाहिए अगर ऐसे गवाह बनाये गये जिन में शहादत की अहलियत नहीं मस़लन दो गुलाम, या दो काफ़िर, दो बच्चे। इसके बा़द यह दीवार गिरगई और कोई आदमी दब कर मरगया और जब शहादत का वक़्त आया तो काफ़िर मुसलमान, या गुलाम आज़ाद, या बच्चे बालिग़ हो चुके हैं। उनकी शहादत क़ुबूल होगी और दीवार का मालिक ज़ामिन होगा ख़्वाह उनकी गवाही की अहलियत दीवार गिरने से पहले पाई गई हो या दीवार गिरने के बा़द। (आलमगीरी स.36 जि.6)

मसअ्ला389:– और अगर उस घर के मुश्तरी से जिसकी दीवार गिराऊ थी दीवार गिराने का मुत़ालबा किया और उसको तीन दिन का ख़्यार था फिर उसने उस घर को ख़्यार की वजह से बाइअ् को लौटा दिया तो इश्तिहाद बात़िल होगया और अगर उसने बैअ् को वाजिब कर लिया तो इश्तिहाद स़ही़ह है बात़िल नहीं हुआ और अगर इस ह़ालत में बाइअ् पर इश्तिहाद किया तो बाइअ् ज़ामिन नहीं होगा. और अगर बाइअ् को ख़्यार था और उस से दीवार गिराने का मुत़ालबा किया और उसने बैअ् को फ़स्ख़ कर दिया तो इश्तिहाद स़ही़ह है। और अगर बैअ् को लाज़िम कर दिया तो इश्तिहाद बात़िल है और अगर इस ह़ालत में मुश्तरी से मुत़ालबा किया गया तो मुत़ालबा स़ही़ह नहीं है। (आलमगीरी अज़ मब्सूत स.37 जि.6)

मसअ्ला.390:– ज़मान के लिये यह शर्त़ है कि मालिके दीवार को इश्तिहाद के बा़द इतना वक़्त मिल जाये कि वह उसको गिरा सके वरना अगर मुत़ालबा–ए–इन्हिदाम के फ़ौरन बा़द दीवार गिर पड़े और मालिक को इतना वक़्त न मिले जिस में गिराना मुम्किन था और उस से कोई चीज़ तलफ़ होजाये तो ज़मान वाजिब नहीं होगा। (तबईनुल'हकाइक स.148 जि.6, दुर्रे मुख़्तार स.572 जि.5)

मसअ्ला.391:– तक़द्दुम और त़लब के लिये यह भी शर्त़ है कि यह स़ाहिबे ह़क़ की त़रफ़ से हो और आ़म रास्ते में अ़वाम का ह़क़ है लिहाज़ा किसी एक का तक़द्दुम और मुत़ालबा स़ही़ह है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.392:– गिराऊ दीवार के गिराने का मुत़ालबा करने में मुसलमान और ज़िम्मी दोनों बराबर हैं अगर दीवार आ़म रास्ते की त़रफ़ झुक गई हो तो हर गुज़रने वाले को तक़द्दुम का ह़क़ है मुसलमान हो या ज़िम्मी बशर्ते कि आज़ाद आ़क़िल, बालिग़ हो या अगर बच्चा हो तो उसके वली ने उसको इस मुत़ालबे की इजाज़त दी हो इसी त़रह़ अगर गुलाम हो तो इस के मौला ने इस के मुत़ालबे की इजाज़त दी हो। (आलमगीरी अज़ किफ़ाया स.37 जि.6)

मसअ्ला.393:– ख़ास़ गली में उस गली वालों को मुत़ालबे का ह़क़ है उन में से किसी एक का मुत़ालबा करना भी काफ़ी है और जिस घर की त़रफ़ दीवार गिराऊ है तो उस घर के मालिक का या उस में रहने वाले का मुत़ालबा करना शर्त़ है। (आलमगीरी अज़ ज़ख़ीरा स.37 जि.6 दुर्रेमुख़्तार व शामी स.528

मसअ्ला.394:– किसी के घर की त़रफ़ किसी शख़्स़ की दीवार झुक गई उस घर वाले ने इस से दीवार के गिराने का मुत़ालबा किया इसने क़ाज़ी से दो तीन दिन या इस के मिस़्ल मोहलत मांगी क़ाज़ी ने मोहलत देदी फिर वह दीवार गिर पड़ी और इस से कोई चीज़ तलफ़ होगई तो दीवार के मालिक पर ज़मान वाजिब है। (आलमगीरी अज़ मुहीत़ स.37 जि.6, बहरुर्राइक़ स.354 जि.8)

मसअ्ला.395:– और अगर घर के मालिक ने दीवार वाले को मोहलत देदी थी या मुत़ालबे से इस को बरी कर दिया था या यह मोहलत व बराअत घर के रहने वालों की त़रफ़ से थी और दीवार गिर पड़ी जिस से कोई चीज़ तलफ़ होगई तो दीवार के मालिक पर ज़मान नहीं(दुर्रेमुख़्तार व शामी स.528 जि.5)

मसअ्ला.396:– और अगर मोहलत की मुद्दत गुज़रने के बा़द दीवार गिरी तो इस से जो नुक़स़ान हुआ उसका ज़मान दीवार वाले पर वाजिब है। (आलमगीरी अज महीत स.37 जि.6 बहरुर्राइक स.354 जि.8)

मसअ्ला.397:– अगर रास्ते की तरफ़ दीवार गिराऊ थी और उस से इन्हिदाम (गिराने) का मुतालबा
हो चुका था मगर क़ाज़ी ने उस को मोहलत देदी तो यह बातिल है(आलमगीरी अज़ खिज़ानतुल्मुफ़्तीन स.37 जि.6)
मसअ्ला.398:– और अगर क़ाज़ी ने तो उस को मोहलत नहीं दी मगर मुतालबा करने वाले
मोहलत देदी तो यह सहीह नहीं है न उसके अपने हक़ में न किसी दूसरे के हक़ में।(आलमगीरी)
मसअ्ला.399:– अगर दीवार रहन थी और गिराने का मुतालबा मुरतहिन से किया गया तो
राहिन ज़ामिन होगा न मुरतहिन और अगर मुतालबा राहिन से किया गया है तो राहिन ज़ामिन होगा
मसअ्ला.400:– और अगर घर किसी ना'बालिग़ का हो तो उसके माँ बाप या वसी से गिराने का
मुतालबा करना और इस पर गवाह बनाना सहीह है और अगर मुतालबे के बाद दीवार गिर पड़ी
जिस से किसी की कोई चीज़ तलफ़ होगई तो ज़मान ना'बालिग़ पर वाजिब होगा(खानिया अलल्हिन्दिया स.464 जि.3)
मसअ्ला.401:– अगर इशहाद के बाद ना'बालिग़ बच्चे के क़ब्ले बुलूग़ (बालिग होने से पहले) बाप या
वसी मर जाये तो इशहाद बातिल होजायेगा यहाँ तक कि अगर उनकी मौत के बाद दीवर गिर पड़ी
जिस से कोई चीज़ तलफ़ होजाये तो किसी पर कुछ नहीं। चूँकि मौत ने उनकी विलायत को
मुन्क़तअ् (ख़त्म) कर दिया। (खानिया अलल्हिन्दिया स.465 जि.3, आलमगीरी स.37 जि.6 शामी स.526 जि.5)
मसअ्ला.402:– और अगर ना'बालिग़ के बालिग़ होने तक दीवार नहीं गिरी उसके बालिग़ होने के
बाद गिरी जिस से कोई आदमी मर गया तो उस का खून रायगाँ गया(आलमगीरी अज मुहीत स.38 जि.6 शामी
स.526 जि.5) और अगर ना'बालिग़ के बुलूग़ के बाद इस से नए सिरे से दीवार गिराने का मुतालबा
किया गया इस के बाद दीवार गिर पड़ी जिस से कोई आदमी मरगया तो इस की दियत मालिके
दीवार के आक़िला पर होगी। (आलमगीरी अज़ मुहीत स.38 जि.6)
मसअ्ला.403:– मस्जिद की दीवार अगर गिराऊ होजाये तो इस के इन्हिदाम का मुतालबा इस के
बनाने वाले से करना चाहिए। (आलमगीरी अज़ खिज़ानातुल मुफ़्तीन स.39 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.529 जि.5)
मसअ्ला.404:– किसी ने मसाकीन पर घर वक़्फ़ किया जिस की दीवार गिराऊ थी और उसका
क़ब्ज़ा एक शख़्स को देदिया जो उसकी आमदनी मसाकीन पर ख़र्च करता था इस वकील से दीवार
गिराने का मुतालबा किया गिया और इस पर इशहाद किया गया और वह दीवार किसी पर गिर
पड़ी जिस से वह मर गया तो इस की दियत वाक़िफ़ के आक़िला पर है और अगर मसाकीन से
दीवार गिराने का मुतालबा किया तो किसी पर कुछ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.529 जि.5)
मसअ्ला.405:– गिराऊ दीवार का मालिक ताजिर गुलाम था उस से दीवार गिराने का मुतालबा
किया गया वह दीवार किसी पर गिर पड़ी जिस से वह मर गया तो इस की दियत गुलाम ताजिर
के मौला के आक़िला पर वाजिब होगी। गुलाम मक़रूज़ हो या न हो, और अगर दीवार गिरने से
किसी का माल तलफ़ होगया तो इस माल का ज़मान गुलाम पर वाजिब है इस में उसको बेचा
जायेगा और अगर उस के मौला से दीवार गिराने का मुतालबा किया गया तब भी सहीह है(आलमगीरी)
मसअ्ला.406:– अगर किसी मकान की गिराऊ दीवार के गिराने का मुतालबा उस शख़्स से किया
जिसके क़ब्ज़े में वह घर है ज़िसकी दीवार गिराऊ थी और उसने मुतालबे के बावजूद दीवार नहीं
गिराई यहाँ तक कि वह खुद किसी पर गिर पड़ी जिस से वह मर गया और उसके आक़िला कहते
हैं कि यह घर जिसकी दीवार गिरी है उसका है ही नहीं या आक़िला कहते हैं कि हम को नहीं
मालूम कि यह घर उसका है या किसी और का है तो मरने वाले की दियत उसके आक़िला पर
नहीं होगी। हाँ अगर इस पर गवाह पेश करदिये जायें कि यह घर इसी का है तो उस के आक़िला
पर दियत वाजिब होगी इस लिये कि अगर्चे मकान पर क़ाबिज़ होना ब'ज़ाहिर मालिक होने की
दलील है मगर यह आक़िला पर वुजूबे माल के लिए हुज्जत नहीं होसकती आक़िला पर माल
वाजिब होने के लिये तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है और इस बात का सुबूत कि यह घर उसी का
है दोम यह कि दीवार गिराने को मुतालबा करने के वक़्त इस पर गवाह भी बनाले तीसरे यह कि

मक़्तूल पर यह दीवार गिरी थी जिस से इस की मौत वाक़ेअ् होगई। (खानिया अलल्हिन्दिया स465 जि3)
मसअ्ला.407:– अगर कब्ज़ा करने वाला इक़रार करे कि यह घर उसी का है तो आक़िला पर दियत के लुज़ूम के लिये (ज़रूरी होने के लिये) इस की तस्दीक नहीं की जायेगी और उन पर ज़मान नहीं है जैसे कि कोई शख़्स उस मकान में जिस में वह रहता है छज्जा निकाले और वह छज्जा किसी आदमी पर गिर पडे जिस से वह आदमी मरजाये और उसके आक़िला कहें कि यह उस घर का मालिक नहीं है उस ने यह छज्जा घर के मालिक के कहने से निकाला था, और क़ब्ज़ा वाला इस बात का इक़रार करे कि वह इस घर का मालिक है तो यह अपने माल से दियत देगा। इसी तरह यहाँ भी उस पर दियत वाजिब होगी। (खानिया अलल्हिन्दिया स465 जि3 आलमगीरी स.39 जि.6)
मसअ्ला.408:– किसी की दीवार गिराऊ थी उस से इन्हिदाम का मुतालबा किया गया मगर उसने दीवार नहीं गिराई फिर वह दीवार खुद ब'खुद पड़ोस की दीवार पर गिर'पड़ी जिससे पड़ोसी की दीवार भी गिर'पड़ी तो इस पर पडोसी की दीवार का ज़मान वाजिब है और पडोसी को इख़्तियार है कि चाहे तो अपनी क़ीमत उस से बतौर ज़मान वसूल करे और मलबा ज़ामिन को देदे और चाहे तो मलबा अपने पास रखे और नुकसान पडोसी से वसूल करे और अगर वह ज़ामिन से यह मुतालबा करे कि उसकी दीवार जैसी थी वैसी ही नई बनाकर दे तो यह उस के लिये जाइज़ नहीं है। और अगर पहली गिरी हुई दीवार से टकराकर कोई शख़्स गिर'पड़ा तो उसका ज़मान पहली दीवार के मालिक के आक़िला पर है और अगर दूसरी दीवार के मलबे से टकराकर कोई शख़्स गिर'पड़ा तो उसका ज़मान किसी पर नहीं है और अगर दूसरी दीवार का मालिक भी वही है जो पहली दीवार का मालिक है तो दूसरी दीवार से मरने वाले का ज़ामिन भी वही होगा। (आलमगीरी अज मुहीत स.39 जि.6)
मसअ्ला.409:– अगर पहली दीवार के मालिक ने छज्जा निकाला और वह दूसरी दीवार पर गिरा जिस से दूसरी दीवार गिर गई और उस से टकरा कर कोई शख़्स गिरा और कुचला गया तो इस का ज़मान पहली दीवार के मालिक पर है और अगर दूसरी दीवार भी इस की मिल्क है तब भी इस पर ज़मान वाजिब है। (आलमगीरी स.39 जि.6 दुर्रेमुख़्तार व शामी स.529 जि.5)
मसअ्ला.410:– अगर दीवार गिराने का मुतालबा बाज़ वुरसा से किया तो हुक्म यह है कि जिस वारिस् से मुतालबा हुआ है वह बक़द्र अपने हिस्से के ज़ामिन होगा।(आलमगीरी स.38 जि.6 दुर्रेमुख़्तार व शामी स.527)
मसअ्ला.411:– किसी गिराऊ दीवार के पाँच मालिक थे उन में से किसी एक से दीवार गिराने का मुतालबा हुआ था और वह दीवार किसी आदमी पर गिर पड़ी जिस से वह मर गया तो जिस से मुतालबा हुआ था वह दियत के पाँचवें हिस्से का ज़ामिन होगा और यह पाँचवाँ हिस्सा भी उस के आक़िला से लिया जायेगा। इसी तरह किसी घर में अगर तीन आदमी शरीक हैं उन में से एक ने इस घर में अपने दूसरे दोनों शरीकों की इजाज़त के बिग़ैर कुवां खोदा या दीवार बनाई और इस से कोई शख़्स हलाक होगया तो इस के आक़िला पर दो तिहाई दियत वाजिब होगी।(आलमगीरी स.38 जि.6)
मसअ्ला.412:– और अगर कुवां या दीवार अपने शरीकों के मशवरे से बनाई गई थी तो यह जनायात मुतसव्वर नहीं होगी। (आलमगीरी अज़ सिराजुलवहाज स.38 जि.6)
मसअ्ला.413:– किसी शख़्स ने सिर्फ़ एक बेटा और एक मकान छोड़ा और उस पर इतना कर्ज़ था जो मकान की क़ीमत के बराबर या इस से ज़्यादा था और इस मकान की दीवार रास्ता की तरफ़ गिराऊ थी इस के इन्हिदाम का मुतालबा उस के बेटे से किया जायेगा अगर्चे उसका मालिक नहीं है और अगर उस की तरफ़ तक़द्दुम के बाद दीवार गिर पड़े तो बाप के आक़िला पर दियत होगी बेटे के आक़िला पर वाजिब नहीं होगी। (आलमगीरी अज मुहीत स.38 जि.6 बहरूर्राइक स.356 जि.8)
मसअ्ला.414:– गुलाम मकातिब गिराऊ दीवार का मालिक था इस से दीवार गिराने का मुतालबा किया गया और इस पर गवाह भी बनाये गये तो अगर गुलाम के लिये दीवार के इन्हिदाम के इम्कान से पहले दीवार गिर'पड़ी तो गुलाम ज़ामिन नहीं होगा और अगर तमक्कुन के बाद (यानी दीवार

गिराना मुम्किन था उस के बाद) गिरी है तो ज़ामिन होगा। और यह इस्तिहसानन है और क़तील (मक़्तूल) के वली के लिये अपनी क़ीमत और क़तील की दियत से कम का ज़ामिन होगा। और अगर दीवार उस के आज़ाद होने के बाद गिरी है तो उस के आ़क़िला पर दियत वाजिब होगी और अगर वह गुलाम मकातिब ज़रे किताबत अदा न कर सका और फिर गुलामी में लौट आया फिर दीवार गिरी तो दियत न इस पर वाजिब है न इस के मौला पर और इसी तरह अगर दीवार बेचदी फिर गिर पड़ी तो किसी पर कुछ नहीं है और अगर बेची न थी कि गिर पड़ी और इस से टकराकर कोई आदमी गिर पड़ा और मर गया तो यह गुलाम ज़ामिन होगा और अगर ज़रे किताबत अदा करने से आजिज़ रहा और गुलामी में लौट आया तो मौला को इख़्तियार है चाहे गुलाम इस को देदे चाहे फिदया देदे और अगर कोई आदमी इस क़तील से टकराकर गिर पड़ा और मरगया तो साहिबे दीवार पर ज़मान नहीं है। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.526 जि.5)

मसअ्ला.415:— और अगर गुलाम मकातिब ने रास्ते की तरफ़ कोई बैतुल'ख़ला वग़ैरा निकाला और फिर उसके मौला ने उसको बेच दिया या आज़ाद होगया। फिर वह दीवार गिर पड़ी तो अपनी क़ीमत और अर्श से कम का ज़ामिन होगा। और अगर ज़रे किताबत अदा करने से आ़जिज़ रहा और गुलामी में लौट आया तो मौला को इख़्तियार है चाहे गुलाम को देदे और चाहे इस का फ़िदया देदे और अगर कोई आदमी बैतुल'ख़ला के मलबे से टकराकर हलाक होगया हो तो बैतुल'ख़ला का निकालने वाला गुलाम ज़ामिन होगा। और इसी तरह अगर इस क़तील से टकराकर कोई दूसरा आदमी गिरा और मर गया तो भी यही ज़ामिन होगा। (आलमगीरी अज़ काफ़ी स.38 जि.6)

मसअ्ला.416:— अगर किसी ऐसे शख़्स की दीवार गिराऊ थी जिसकी माँ किसी की मौलाते इताक़ा (आज़ाद कर्दा बांदी) थी और उस का बाप गुलाम। उस से किसी ने दीवार गिराने का मुतालबा किया और उसने नहीं गिराई यहाँ तक कि उसका बाप आज़ाद होगया फिर वह दीवार गिर पड़ी जिस से कोई आदमी मरगया तो इस की दियत बाप के आ़क़िला पर है और अगर बाप के आज़ाद होने से क़ब्ल दीवार गिर पड़ी तो माँ के आ़क़िला पर दियत वाजिब है इसी तरह अगर रास्ते की तरफ़ बैतुल'ख़ला निकाला फिर उसका बाप आज़ाद होगया फिर बैतुल'ख़ला किसी पर गिर पड़ा और वह मरगया तो इस की दियत माँ के आ़क़िला पर है चूंकि रास्ते की तरफ़ बैतुल'ख़ला निकालना ही जनायत है और इस वक़्त आ़क़िला मवाली उम्म थे।(आलमगीरी अज़ मुहीत स.38, जि.6)

मसअ्ला.417:— कोई शख़्स अपनी दीवार पर चढ़ा हुआ था क़त्अ् नज़र इस से कि दीवार गिराऊ थी या न थी फिर यह दीवार गिर पड़ी जिस से एक आदमी मर गया और दीवार गिरने में दीवार के मालिक का कोई अ़मल न था, तो अगर वह दीवार गिराऊ थी और उसके गिराने का मुतालबा भी उस से किया जा चुका था तो वह ज़ामिन होगा। और इस के सिवा किसी सूरत में ज़ामिन नहीं होगा और अगर वह खुद दीवार पर से किसी आदमी पर गिर पड़ा दीवार नहीं गिरी और आदमी मर गया तो भी ज़ामिन होगा। और अगर दीवार से गिरने वाला मरगया तो नीचे वाले को देखेंगे अगर वह चल रहा था तो यह ज़ामिन नहीं होगा। (बहरुर्राइक़ स.354 जि.8) और अगर वह ठहरा हुआ था रास्ते में, या बैठा हुआ था या खड़ा हुआ था या सोया हुआ था तो यह गिरने वाले की दियत का ज़ामिन होगा। अगर नीचे वाला अपनी मिल्क में था तो यह ज़ामिन नहीं होगा और इन हालात में ऊपर से गिरने वाले पर नीचे वाले का ज़मान वाजिब होगा। अगर नीचे वाला मरजाये और इसी तरह अगर वह ग़ाफ़िल था कि गिर पड़ा या सो गया था और करवट बदली और गिर पड़ा तो यह नीचे वाले के नुक़सान का ज़ामिन होगा और इस सूरत में उस पर कफ़्फ़ारा भी वाजिब होगा। और इसी तरह अगर पहाड़ पर से फिसल पड़ा किसी शख़्स पर जिस से वह शख़्स हलाक होगया तो उसका ज़मान फिसलने वाले पर होगा और इस सूरत में मरने वाले का अपनी मिल्क में होना न होना बराबर है और इसी तरह अगर कुँयें में जो अपनी मिल्क में खोदा था गिर पड़ा उस में कोई

आदमी था यह उस पर गिर पड़ा और वह मर गया तो इस की दियत का ज़ामिन होगा। और अगर कुआं रास्ते में था तो कुऐं का मालिक दियत का ज़ामिन होगा। साक़ित (गिरने वाला) और मस्कूत अ़लैहि (जिस पर गिरा) दोनों का नुक़सान उस पर वाजिब होगा। (मब्सूत स.11 जि.27 आलमगीरी स.38 जि.6)

मसअ्ला.418:– किसी ने दीवार पर मटका रखा वह किसी शख़्स पर गिर पड़ा जिस से वह मर गया तो इस पर उसका ज़मान नहीं है।(आलमगीरी अज फ़ुसूले इमादिया स.39 जि.6)

मसअ्ला.419:– अगर किसी शख़्स ने दीवार के ऊपर कोई चीज़ इस के तूल में (लम्बाई में) रखी और वह किसी आदमी पर गिर पड़ी तो इस पर उसका ज़मान नहीं है और अगर अ़र्ज़ में (चौड़ाई में) रखी कि उसका एक सिरा रास्ते की तरफ़ निकला हुआ था और वह किसी चीज़ पर निकली हुई तरफ़ से गिरी तो रखने वाला ज़ामिन होगा और अगर दूसरी तरफ़ से किसी चीज़ पर गिरी तो वह ज़ामिन नहीं होगा। और इसी तरह अगर दीवार गिराऊ थी और उस पर किसी ने शहतीर रखा लम्बाई में इस तरह कि इस का कोई हिस्सा रास्ते की तरफ़ निकला हुआ नहीं था फिर वह शहतीर किसी पर गिर पड़ा और उसका क़त्ल कर दिया तो इस पर ज़मान नहीं है। (आलमगीरी स.39 जि.6)

मसअ्ला.420:– गिराऊ दीवार जिसके गिराने का मुतालबा उसके मालिक से किया जा चुका था उस पर दीवार के मालिक या किसी और ने मटका रखा और दीवार गिर पड़ी और मटका किसी आदमी के लगा जिस से वह मर गया तो दीवार के मालिक पर ज़मान है और अगर मटके से टकराकर कोई शख़्स गिर पड़ा या उस के मलबे से टकराकर गिर पड़ा तो अगर मटका किसी और का था तो किसी पर कुछ नहीं है। (बहरूर्राइक स.354 जि.8) और अगर मटका दीवार के मालिक का था तो वह ज़ामिन होगा। (आलमगीरी अज काफ़ी स.39 जि.6)

मसअ्ला.421:– गिराऊ दीवार जिस के गिराने का मुतालबा किया जा चुका था मगर दीवार के मालिक ने उसको नहीं गिराया फ़िर हवा से गिर पड़ी तो दीवार का मालिक नुक़सान का ज़ामिन होगा। (आलमगीरी अज़ मुहीत स.39 जि.6, बहरूर्राइक़ स.355 जि.8)

मसअ्ला.422:– दो गिराऊ दीवारें थीं जिनके गिराने का मुतालबा किया जा चुका था उन में से एक दूसरे पर गिर पड़ी जिस से वह भी ढै गई तो पहली या दूसरी दीवार के गिरने से जो इतलाफ़ हुआ या पहली के मलबे से जो इतलाफ़ हुआ उसका ज़मान किसी पर नहीं होगा(आलमगीरी अज काफी स.39 जि.6)

मसअ्ला.423:– ऐसा छज्जा जो किसी शख़्स ने निकाला था वह छज्जा किसी ऐसी गिराऊ दीवार पर गिर पड़ा जिसके गिराने का मुतालबा उसके मालिक से किया जा चुका था और वह दीवार किसी शख़्स पर गिर पड़ी जिस से वह मरगया या उस दीवार के ज़मीन पर गिरने के बाद कोई शख़्स उस से टकराकर गिर पड़ा तो इस सब सूरतों में छज्जा निकालने वाले पर ज़मान वाजिब है।

मसअ्ला.424:– किसी की दीवार का कुछ हिस्सा रास्ते की तरफ़ और कुछ लोगों के मकान की तरफ़ झुका हुआ था और दीवार के मालिक से दीवार गिराने का मुतालबा घर वालों ने कर दिया था मगर दीवार रास्ते की तरफ़ गिर पड़ी या मुतालबा रास्ते वालों ने किया था मगर दीवार घरवालों पर गिर पड़ी तो दीवार का मालिक ज़ामिन होगा। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.528 जि.5)

मसअ्ला.425:– किसी शख़्स की लम्बी दीवार थी जिसका बाज़ हिस्सा गिराऊ था और बाज़ गिराऊ नहीं था और इस से मुतालबाए नक़्ज़ (तोड़ने का मुतालबा) किया गया था फिर पूरी दीवार किसी पर गिर पड़ी जिस से वह मर गया तो दीवार का मालिक गिराऊ हिस्से के नुक़सान का ज़ामिन होगा। और जो हिस्सा दीवार का गिराऊ नहीं था उस के हिस्से के नुक़सान का ज़ामिन नहीं होगा और अगर दीवार छोटी थी तो पूरी दीवार के नुक़सान का ज़ामिन होगा(दुर्रेमुख़्तार स.529 जि.5)

मसअ्ला.426:– किसी शख़्स की दीवार गिराऊ थी क़ाज़ी ने उसको गिराने के मुतालबे में पकड़ा किसी दूसरे ने उसकी ज़मानत दी कि उस के हुक्म से यह दीवार गिरादेगा तो यह ज़मानत जाइज़ है और जिसने यह ज़मानत दी है उस को हक़ है कि वह उस की इजाज़त के बिग़ैर गिरादे (आलमगीरी)

मसअ्ला.427:– किसी की गिराऊ दीवार पर दो गवाह बनाये कि इसकी दीवार गिराऊ है फिर वो दीवार किसी एक गवाह पर या इसके बाप या इसके ग़ुलाम या इसके मकातिब पर गिर पड़ी और दीवार के मालिक के ख़िलाफ़ उन दो गवाहों के सिवा और कोई गवाह नहीं है तो इस सूरत में इस एक की गवाही मोअ्तबर नहीं है जो इस गवाही से खुद इस का मुतअल्लिक फ़ायदा उठाये(आलमगीरी)
मसअ्ला.428:– लक़ीत की दीवार झुकी हुई थी और उस से दीवार गिराने का मुतालबा भी किया गया था वह दीवार किसी पर गिर पड़ी जिस से वह मरगया तो क़तील की दियत बैतुल माल से अदा की जायेगी इस तरह अगर कोई काफ़िर मुसलमान हुआ और उसने किसी से मवालात नहीं की है तो वह भी लक़ीत के हुक्म में है। (काज़ीख़ॉ अलल्हिन्दिया स.466 जि.3 आलमगीरी स.40 जि.6)
मसअ्ला.429:– एक गिराऊ दीवार के दो मालिक थे एक ऊपरी हिस्से का दूसरा नीचे के हिस्से का उन में से किसी एक से दीवार गिराने का मुतालबा किया गया फिर पूरी गिर पड़ी तो जिस से मुतालबा किया गया था वह निस्फ़ दियत का ज़ामिन होगा। और अगर ऊपरी वाली दीवार गिरी और इसी के मालिक से मुतालबा किया गया था तो यह ज़ामिन होगा नीचे वाली का मालिक ज़ामिन नहीं होगा। (बहरुर्राइक स.354 जि.8, ख़ानिया अलल्हिन्दिया स.466 जि.3)
मसअ्ला.430:– किसी शख़्स ने दीवार गिराने के लिये कुछ मज़दूर मुक़र्रर किये उनके दीवार गिराने से एक शख़्स उनही में से मरगया या कोई ग़ैर शख़्स मरगया तो कफ़्फ़ारा व ज़मान उन ही पर होगा दीवार के मालिक पर कुछ नहीं। (मब्सूत स.14 जि.27, आलमगीरी स.40 जि.6)
मसअ्ला.431:– किसी की दीवार इशहाद से पहले गिरपड़ी फिर इस से मुतालबा किया गया कि इस का मलबा रास्ते से उठाये मगर इसने नहीं उठाया यहाँ तक कि कोई आदमी या जानवर इस के साथ टकराकर गिर पड़ा और हलाक होगया तो दीवार का मालिक ज़ामिन होगा(आलमगीरी स.41 जि.6)
मसअ्ला.432:– किसी ने अपनी दीवार से बाहर की तरफ़ बैतुलख़ला वग़ैरा बनाया अगर वह बड़ा था और इस से किसी को नुक़सान पहुँचा तो ज़ामिन होगा और अगर छोटा था तो ज़ामिन नहीं होगा। (आलमगीरी अज़ मुहीत स.40 जि.6)
मसअ्ला.433:– किसी की दो दीवारें थीं एक गिराऊ एक सहीह गिराऊ के इन्हिदाम का मुतालबा किया गया था वह न गिरी लेकिन सहीह गिर गई जिस से कोई चीज़ तलफ़ होगई तो इसका ज़मान किसी पर नहीं है। (दुर्रेमुख़्तार स.529 जि.5, ख़ानिया अलल्हिन्दिया स.466 जि.3, बहरुर्राइक स.354 जि.8)
मसअ्ला.434:– किसी शख़्स की ऐसी झुकी हुई दीवार गिराने का इस से मुतालबा किया गया जिस में रास्ते की तरफ़ छज्जा निकला हुआ था और उस को इस ने निकाला था जिस ने यह घर बेचा था फिर वह दीवार और छज्जा गिर पड़े और सूरत यह हुई कि दीवार के गिरने की वजह से छज्जा गिरा तो दीवार के मालिक पर नुक़सान का ज़मान है और फ़क़त छज्जा गिरा है तो बेचने वाला नुक़सान का ज़ामिन होगा जिसने रास्ते की तरफ़ उसको निकाला था(हिन्दिया स.40 जि.6)
मसअ्ला.435:– एक शख़्स एक मकान के ज़ेरीं हिस्से का मालिक था और इस के बालाई हिस्से का दूसरा शख़्स मालिक था और दोनों हिस्से गिराऊ थे और दोनों के मालिकों से उनके गिराने का मुतालबा भी किया जा चुका था मगर उन्होंने नहीं गिराया इसके बाद ज़ेरीं हिस्सा गिर पड़ा और इसके गिरने से ऊपर का हिस्सा भी किसी पर गिर पड़ा जिस से वह मरगया तो इस मक़तूल की दियत ज़ेरीं हिस्से के मालिक के आक़िला पर है और जो शख़्स नीचे के मलबे से टकराकर गिरे उसका ज़मान भी और अगर बालाई हिस्से के गिरे हुए मलबे से टकराकर कोई शख़्स हलाक होगया तो किसी पर कुछ नहीं है। (आलमगीरी अज मुहीत स.40 जि.6)
मसअ्ला.436:– एक मकान का बालाई हिस्सा एक शख़्स का है और ज़ेरीं हिस्सा दूसरे का और कुल मकान कमज़ोर है बालाई हिस्सा किसी पर गिर पड़ा और वह मरगया और इस मकान के गिराने का मुतालबा दोनों से किया जा चुका था तो बालाई हिस्से का मालिक ज़ामिन होगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.437:— किसी शख़्स से उसकी ऐसी गिराऊ दीवार के गिराने का मुतालबा किया गया जिसका रास्ते की तरफ़ गिरने का ख़तरा नहीं था लेकिन यह अन्देशा था कि यह दीवार उसी शख़्स की उसी सहीह दीवार पर गिर सकती जिस के गिरने का अन्देशा नहीं है हाँ यह मुम्किन है कि अगर गिराऊ दीवार सहीह दीवार पर गिर पडी तो सहीह दीवार खुद ब'खुद रास्ते में गिर पडेगी। लेकिन वह गिराऊ दीवार जिसके गिराने का मुतालबा किया गया था न गिरी और सहीह दीवार खुद ब'खुद रास्ते में गिर पड़ी जिस से कोई इन्सान हलाक होगया या उसके मल्बे से टकराकर कोई आदमी मरगया तो उसका ख़ून रायगाँ जायेगा। (आलमगीरी स.40जि.6)

फ़स्लुन फ़ित्तरीक़

रास्ते में नुक़सान पहुँचने का बयान

मसअ्ला.438:— आम रास्ते की तरफ़ बैतुल'ख़ला या परनाला पर बुर्ज या शहतीर या दुकान वग़ैरा निकालना जाइज़ है बशर्ते कि इस से अवाम को कोई ज़रर (नुक़सान) न हो और गुज़रने वालों में से कोई मानेअ् (रोकने वाला) न हो और अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो या कोई मोअ्तरिज़ हो तो ना'जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.521 जि.5, बहरुर्राइक स.347 जि.8, आलमगीरी स.40 जि.6)

मसअ्ला.439:— अगर कोई शख़्स आम रास्ते पर मज़कूरा बाला तअ्मीरात अपने लिये इमाम की इजाज़त के बिग़ैर करे तो शुरूअ् करते वक़्त हर आक़िल, बालिग़ मुसलमान मर्द, औरत और ज़िम्मी को इसके रोकने का हक़ है। ग़ुलाम और बच्चों को इसका हक़ नहीं है और बन जाने के बाद इसके इन्हिदाम के मुतालबे का भी हक़ है बशर्ते कि इस मुतालबा करने वाले ने आम रास्ते पर इस क़िस्म की कोई तअ्मीर न कर रखी हो। ख़्वाह इस तअ्मीर से किसी को ज़रर हो या न हो(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.440:— आम रास्ते पर ख़रीद व फ़रोख़्त के लिये बैठना जाइज़ है जब कि किसी के लिये तकलीफ़ देह न हो। और अगर किसी को तकलीफ़ दे तो वह ना'जाइज़ है।(दुर्रेमुख़्तार व शामी स.521 जि.5)

मसअ्ला.441:— और अगर यह तअ्मीरात इमाम की इजाज़त से की गई हैं तो किसी को उन पर एअ्तिराज़ का हक़ नहीं है लेकिन इमाम के लिये यह मुनासिब नहीं है कि उन तसर्रुफ़ात की इजाज़त दे जब कि लोगों को उनसे तकलीफ़ हो और अगर इस ने किसी मस्लेहत की बिना पर इजाज़त देदी तो जाइज़ है। (शामी स.521 जि.5 आलमगीरी स.41 जि.6)

मसअ्ला.442:— आम रास्ते पर अगर यह तअ्मीरात पुरानी हैं तो उनके हटवाने का किसी को हक़ नहीं है और अगर उनका हाल मालूम न हो तो नई फ़र्ज़ करके इमाम उनको हटवादेगा(शामी स.522 जि.5)

मसअ्ला.443:— अगर आम रास्ते पर मुसलमान के फ़ायदे के लिये मस्जिद वग़ैरा कोई इमारत बनादी जाये और इस से किसी को कोई ज़रर भी न हो तो नहीं तोड़ी जायेगी।(आलमगीरी स.40 जि.6)

मसअ्ला.444:— ऐसे ख़ास रास्ते पर जो आगे से बन्द हों किसी को कुछ बनाना जाइज़ नहीं है ख़्वाह इस में लोगों का ज़रर हो या न हो मगर यह कि इस के रहने वाले इजाज़त देदें और यह तअ्मीरात अगर जदीद हैं तो इमाम को हक़ है कि उनको ढादे और क़दीम हैं तो यह हक़ नहीं है और अगर उनका हाल मालूम न हो तो क़दीम मानकर बाक़ी रखी जायेंगी(आलमगीरी स.40 जि.6)

मसअ्ला.445:— अगर किसी ने रास्ते में कूड़ा डाला और इस से कोई फिसलकर गिरा और मर गया इस पर ज़मान नहीं है मगर जब कि कूड़ा जमअ् करके इकट्ठा कर दिया जिस से टकरा कर कोई गिरा और मर गया तो कूड़ा डालने वाला ज़ामिन होगा।(आलमगीरी अज़ ज़ख़ीरा स.41 जि.6)

मसअ्ला.446:— किसी शख़्स ने शारेअ़े आम पर(आम रास्ते पर)कोई बड़ा पत्थर रखा या उसमें कोई इमारत बनादी या अपनी दीवार से शहतीर या पत्थर वग़ैरा बाहर रास्ते की तरफ़ निकाल दिया या बैतुल'ख़ला या छज्जा या परनाला या सायबान निकाला या रास्ते में शहतीर रखा इस से अगर किसी चीज़ को कोई नुक़सान पहुँचे या वह तलफ़ होजाये तो यह उसका तावान अदा करेगा और अगर इस से कोई आदमी मरजाये तो इसकी दियत इसके आक़िला पर होगी और अगर कोई इन्सान

ज़ख्मी हुआ मगर मरा नहीं तो अगर इस ज़ख्म का अर्श मौज़ेहा(सर का वह ज़ख्म जिसमें सर की हड्डी दिखाई दे)के अर्श के बराबर हो तो यह अर्श उसके आक़िला पर होगा और अगर इससे कम हो तो बनाने वाले के माल से दिया जायेगा और इस सबब से अगर कोई मरगया तो उस पर कफ़्फ़ारा नहीं है और अगर मरने वाला इस का मूरिस् था तो यह इसका वारिस् भी होगा जानवर और माल के नुक़सान का ज़ामिन यह खुद होगा। इन सब सूरतों में ज़मान इसपर उस वक़्त वाजिब होगा जब इसने इमाम की इजाज़त के बिग़ैर यह तसर्रुफ़ात किये हों वरना यह ज़ामिन नहीं होगा(आलमगीरी स.40 जि.6)

मसअ्ला.447:– सर'बन्द गली (वह गली जो एक तरफ से बन्द हो) में जिन रहने वालों के दरवाज़े खुलते हैं उनको इस रास्ते में किसी क़िस्म की तअ्मीर की इजाज़त नहीं मगर इस गली के सब रहने वालों की इजाज़त से तअ्मीर की जा सकती है हाँ इस गली के रहने वाले इस क़िस्म के तसर्रुफ़ात कर सकते हैं मस्लन जानवर बाँधना, लकड़ी रखना, वज़ू करना, गारा बनाना, या कोई चीज़ आरिज़ी तौर पर रखना वग़ैरा बशर्ते कि गली वालों के लिये रास्ता छोड़ दिया गया हो और जो काम नहीं कर सकते वह यह हैं मस्लन परनाला निकालना, दुकान बनाना, छज्जा निकालना, बुर्ज बनाना, बैतुल'ख़ला बनाना वग़ैरा मगर जब सब गली वाले इजाज़त देदें तो यह चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.522 जि.5,आलमगीरी स.42जि.6)

मसअ्ला.448:– सर'बन्द गली में जो काम जाइज़ थे उसकी वजह से किसी नुक़सान का ज़ामिन नहीं होगा और जो काम ना'जाइज़ हैं और रहने वालों की इजाज़त के बिग़ैर किये तो उनसे जो नुक़सान होगा वह सब रहने वालों पर तक़सीम होगा और तसर्रुफ़ करने वाला अपने हिस्से के सिवा दूसरों के हिस्सों का तावान अदा करेगा। (आलमगीरी स.41 जि.6, शामी स.522 जि.5, क़ाज़ीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.485 जि.3)

मसअ्ला.449:– राहिन (गिरवी रखने वाला) ने दारे मरहूना (यानी गिरवी रखे हुए घर) में मुरतहिन (जिसके पास रहन रखा) की इजाज़त के बिग़ैर कुछ तअ्मीर की या कुँवाँ खोदा या जानवर बाँधे, तो इस से जो नुक़सान होगा राहिन उसका ज़ामिन नहीं होगा। (आलमगीरी स.41 जि.6)

मसअ्ला.450:– किसी ने मज़दूरों को सायबान या छज्जा बनाने के लिये मुक़र्रर किया अगर इस्नाए तअ्मीर में इमारत के गिरने से कोई हलाक होगया तो इसका ज़मान मज़दूरों पर होगा और उन से दियते कफ़्फ़ारा और विरास्त से महरूमी लाज़िम होगी और अगर तअ्मीर से फ़रागत के बाद यह सूरत हो तो मालिक पर ज़मान होगा। (आलमगीरी अज़ जौहरा नय्यिरा स.41 जि.6, मब्सूत स.8 जि.27)

मसअ्ला.451:– उन मज़दूरों में से किसी के हाथ से ईंट पत्थर या लकड़ी गिर पड़ी जिस से कोई आदमी मर गया तो जिस के हाथ से गिरी है उस पर कफ़्फ़ारा और उस के आक़िला पर दियत वाजिब है। (आलमगीरी स.41 जि.6)

मसअ्ला.452:– किसी ने दीवार में रास्ते की तरफ़ परनाला लगाया वह किसी पर गिरा जिससे वह हलाक होगया अगर यह मालूम है कि दीवार में गड़ा हुआ हिस्सा लग कर हलाक हुआ तो ज़मान नहीं है और अगर बैरूनी हिस्सा लग कर हलाक हुआ तो ज़मान है और अगर दोनों हिस्से लग कर हलाक हुआ तो निस्फ़ ज़मान है और अगर यह मालूम न होसके तब भी निस्फ़ ज़मान है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.453:– किसी ने रास्ते की तरफ़ छज्जा निकाला था फिर वह मकान बेच दिया इस के बाद छज्जा गिरा और कोई आदमी हलाक होगया या किसी ने रास्ते में लकड़ी रखी फिर उसको बेचकर मुश्तरी को क़ब्ज़ा देदिया मुश्तरी ने वहीं रहने दी और इस से कोई आदमी हलाक होगया तो दोनों सूरतों में बेचने वाले पर ज़मान है मुश्तरी पर कुछ नहीं।(आलमगीरी स.41जि.6, दुर्रेमुख़्तार स.522 जि.5)

मसअ्ला.454:– किसी ने रास्ते में लकड़ी रखदी जिस से कोई टकरा गया तो रखने वाला ज़ामिन है अगर गुज़रने वाला इस लकड़ी पर चढ़ा और अगर गिरकर मरगया तो भी रखने वाला ज़ामिन होगा बशर्ते कि चढ़ने वाले ने उसपर से फिसलने का इरादा न किया हो और लकड़ी बड़ी हो लेकिन अगर लकड़ी इतनी छोटी है कि इस पर चढ़ा ही नहीं जा सकता तो रखने वाले पर कोई

ज़मान नहीं है। (आलमगीरी स.41जि.6, शामी व दुर्रेमुख़्तार स525 जि.5, मब्सूत स.8 जि.27)

मसअ्ला.455:– किसी ने शारेए आ़म्म पर इतना पानी छिड़का कि उस से फिस्लन होगई जिस से फिसल कर कोई आदमी गिरा और मरगया तो पानी छिड़कने वाले के आ़क़िला पर दियत वाजिब है और अगर कोई जानवर फिसल कर गिरा और मरगया या किसी का कोई माली नुक़सान होगया तो उसका तावान छिड़कने वाले के माल से अदा किया जायेगा यह हुक्म इस सूरत में है कि पूरे रास्ते में पानी छिड़का हो और गुज़रने के लिये जगह न रहे लेकिन अगर बाज़ हिस्सा में छिड़का है और बाज क़ाबिले गुज़र छोड़ दिया है तो अगर पानी वाले हिस्से से गुज़रने वाला अंधा है और उसे पानी का इल्म न था या गुज़रने वाला जानवर है तब भी यही हुक्म है और अगर इल्म के बावजूद बीना या नाबीना पानी वाले हिस्से से बिल क़स्द गुज़रा और फिसल कर हलाक होगया तो किसी पर कुछ नहीं। (आलमगीरी स.41 जि.6, हिदाया स.586 जि.4, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.526 जि.5)

मसअ्ला.456:– शर्बत बेचने वाले या किसी रेढ़ी वाले ने इतना पानी अपनी दुकान के सामने बहा दिया कि फिस्लन होगई तो पानी छिड़कने वाले के आ़क़िला पर दियत वाजिब है अगर कोई शख़्स इस से फिसल कर हलाक होजाये बशर्ते कि वह ज़मीन इस की मिल्क न हो।(दुर्रेमुख़्तार स.526 जि.5)

मसअ्ला.457:– किसी ने शारेए आ़म पर इतना पानी छिड़का कि फिसलन होगई इस पर से कोई शख़्स दो गधे लेकर गुज़रा एक की डोरी उस के हाथ में थी और दूसरा उसके साथ जा रहा था साथ जाने वाला गधा फिसल कर गिरा जिस से उसका पैर टूट गया गधे वाला अगर दोनों को पीछे से हांक रहा था तो किसी पर कुछ नहीं और अगर पीछे से नहीं हांक रहा था तो पानी छिड़कने वाले पर तावान है। (आ़लमगीरी स.42 जि.6)

मसअ्ला.458:– किसी ने शारेअ़े आ़म पर इतना पानी बहाया कि जमअ़ होकर बर्फ़ बन गया या बर्फ़ रास्ते में डाल दी इस से फिसल कर कोई आदमी हलाक होगया या रास्ते में कीचड़ से बचने के लिये पत्थर रख दिये थे उस पर से फिसल कर गिर पड़ा और हलाक होगया तो अगर इमाम की इजाज़त से यह काम किया था तो ज़ामिन नहीं होगा और अगर बिला इजाज़ते इमाम किया था तो ज़ामिन होगा। (आ़लमगीरी स.42 जि.6)

मसअ्ला.459:– किसी शारेअ़े आ़म पर दो पत्थर रखे हुए थे गुज़रने वाला एक से टकराकर दूसरे पर गिरा और मरगया पहला पत्थर रखने वाला ज़ामिन होगा और अगर पहले का वाज़िअ़ (रखने वाला) मा'लूम न हो तो दूसरा पत्थर रखने वाला ज़ामिन होगा। (आ़लमगीरी स.42 जि.6)

मसअ्ला.460:– किसी ने शारेअ़े आ़म पर बिला इजाज़ते इमाम या शारेअ़े ख़ास पर इस गली के रहने वालों की इजाज़त के बिग़ैर कोई जदीद तअ़्मीर की जिस से टकराकर कोई किसी दूसरे आदमी पर गिरा और जिस पर गिरा वह मरगया। तो तअ़्मीर करने वाला ज़ामिन नहीं होगा(आलमगीरी)

मसअ्ला.461:– किसी ने रास्ते में कोई चीज़ रखी दूसरे ने उसको हटा कर दूसरी तरफ़ रखदिया और उस से टकरा कर कोई शख़्स हलाक होगया तो हटाने वाला ज़ामिन होगा रखने वाला ज़ामिन नहीं होगा। (आ़लमगीरी स.42 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.523 जि.5)

मसअ्ला.462:– किसी ने शारेअ़े आ़म पर बिला इजाज़ते इमाम या शारेअ़े ख़ास पर इस गली के रहने वालों की इजाज़त के बिग़ैर कुछ जदीद तअ़्मीर की जिससे टकराकर कोई आदमी दूसरे आदमी पर गिरा और दोनों मरगये तो तअ़्मीर करने वाले के आ़क़िला पर दोनों की दियत वाजिब है(आलमगीरी)

मसअ्ला.463:– किसी ने रास्ते में अंगारा रखदिया इस से कोई चीज़ जल गई तो रखने वाला इस का ज़ामिन होगा और अगर हवा से उड़कर वह आग दूसरी जगह चली गई और किसी चीज़ को जला दिया तो अगर रखते वक़्त हवा चल रही थी तो रखने वाला ज़ामिन होगा वरना नहीं।(ख़ानिया)

मसअ्ला.464:– लोहार ने अपनी दुकान में भट्टी से लोहा निकाल कर आइरन (निहाई) पर रख कर कूटा जिस से चिंगारी निकलकर शारेअ़े आ़म पर चलने वाले किसी आदमी पर गिरी जिस से वह

जल कर मरगया या उस की आँख फूट गई तो उस की दियत लोहार के आक़िला पर है और अगर किसी का कपड़ा जला दिया या कोई माली नुक़सान कर दिया तो उसका तावान लोहार के माल से दिया जायेगा और अगर उसके कूटने से चिंगारी नहीं उड़ी बल्कि हवा से उड़कर किसी पर गिरी तो लोहार पर कुछ नहीं है। (खानिया अलल्हिन्दिया स.459 जि.3 आलमगीरी स.42 जि.6)

मसअला.465:– लोहार ने अपनी दुकान में रास्ते की जानिब यह जानते हुए कि रास्ते की हवा से आग भड़केगी भट्टी जलाई और इस से रास्ते में कोई चीज जल गई तो वह ज़ामिन होगा।(आलमगीरी)

मसअला.466:– कोई शख़्स आग लेकर ऐसी जगह से गुज़रा जहाँ से गुज़रने का उसको हक़ था उस से कोई चिंगारी खुद गिर गई या हवा से गिर गई और इस से कोई चीज़ जल गई तो वह ज़ामिन नहीं है और अगर ऐसी जगह से गुज़रा जहाँ से गुज़रने का उस को हक़ न था तो अगर हवा से चिंगारी उड़कर गिरी तो ज़ामिन नहीं होगा और अगर खुद गिरी और उस से कोई चीज़ जल गई तो वह ज़ामिन होगा। (आलमगीरी अज खिजानतुल मुफ़्तीन स.43 जि.6)

मसअला.467:– कोई शख़्स शारेअ़े आम (फुट पाथ) पर बैठकर हुकूमत की इजाज़त के बिग़ैर ख़रीद व फ़रोख़्त करता है उसके सामान में फंस कर कोई शख़्स गिर पड़ा और इसका कुछ नुक़सान हो गया तो बैठने वाला ज़ामिन होगा और अगर हुकूमत की इजाज़त से बैठा है तो यह ज़ामिन नहीं होगा। (आलमगीरी स.43 जि.6)

मसअला.468:– शारेअ़े आम के किनारे बैठकर ख़रीद व फ़रोख़्त अगर किसी चीज़ को ज़रर न दे और हुकूमत की इजाज़त से हो तो जाइज़ है और अगर ज़रर हो तो ना'जाइज है(दुर्रेमुख़्तार स.521जि.5)

मसअला.469:– कोई आदमी सोने वाले के पास से गुज़रा और उसकी ठोकर से सोने वाले की पिन्डली टूट गई फिर उस पर गिर पड़ा जिस से उस की एक आँख फूट गई इस के बाद खुद मर गया तो सोने वाले पर मरने वाले की दियत है और मरने वाले पर सोने वाले का अर्श वाजिब होगा। और अगर दोनों ही मरगये तो सोने वाले की दियत है और गिरने वाले पर सोने वाले की निस्फ़ दियत है। (आलमगीरी स.43 जि.6)

मसअला.470:– कोई आदमी रास्ते से गुज़र रहा था कि अचानक गिरकर मरगया और इस से टकराकर दूसरा शख़्स मरगया तो किसी पर कुछ नहीं। (आलमगीरी अज़ ज़ख़ीरा स.43 जि.6)

मसअला.471:– कोई राह चलता बे'होश होकर या ज़ोअ़फ़ की वजह से किसी पर गिर पड़ा जिस से वह मरगया या राह चलता गिरकर मरगया और इस से टकराकर कोई दूसरा शख़्स मरगया तो राहगीर के आक़िला पर मरने वाले की दियत वाजिब है। दूसरे की मौत अगर गिरने वाले से दबकर हुई है तो गिरने वाले पर कफ़्फ़ारा भी है जो इस के माल से अदा किया जायेगा। और विरासत से महरूम होगा और अगर राहगीर ज़मीन पर गिरा और दूसरा इस से टकराकर मरगया तो कफ़्फ़ारा और ह़िरमाने मीरास् (विरासत से महरूमी) नहीं है। (आलमगीरी अज मुहीत स. 43 जि6)

मसअला.472:– कोई शख़्स बोझ उठाये रास्ते से गुज़र रहा था कि उसका बोझ किसी शख़्स पर गिरा जिस से वह शख़्स मरगया या बोझ ज़मीन पर गिरा और इस से टकरा कर कोई शख़्स मरगया तो बोझ उठाने वाला ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.43 जि.5, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.523 जि.5)

मसअला.473:– कोई शख़्स रास्ते में कोई ऐसी चीज़ पहनकर गुज़रा जो आ़म तौर पर पहनी जाती है उस चीज़ से उलझ कर, कोई शख़्स मरगया या किसी शख़्स पर वह चीज़ गिर पड़ी जिस से वह मरगया या रास्ते में गिर पड़ी जिस से टकराकर कोई मरगया तो इन सब सूरतों में गुज़रने वाले पर ज़मान नहीं है। और अगर इस क़िस्म की चीज़ है जो पहनी नहीं जाती है तो इसका हुक्म बोझ उठाने वाले का सा है और इस से जो नुक़सान होगा यह ज़ामिन है। इसी तरह अगर कोई शख़्स जानवर को हांक रहा था या उसको खींच रहा था या उस पर सवार था और उसके सामान में से कोई चीज़ मस्लन ज़ीन, लगाम वग़ैरा गिर पड़ी जिस से कोई आदमी मरगया या जानवर या इस

के सामान में से कोई चीज़ रास्ते पर गिरी और उस से टकराकर कोई आदमी मरगया तो हर सूरत में जानवर वाला ज़ामिन होगा। (आलमगीरी अज मुहीत स.43 जि.6)

मसअ्ला.474:– दो आदमियों ने अपने मटके रास्ते पर रख दिये थे। एक लुढ़क कर दूसरे से टकराया तो अगर लुढ़कने वाला टूटा तो दूसरे का मालिक उस से मटके का ज़मान देगा और अगर दूसरा टूटा तो लुढ़कने वाले का मालिक ज़मान नहीं देगा और अगर दोनों लुढ़के तो किसी पर कुछ नहीं। (आलमगीरी स.43 जि.6, खानिया अलल्हिन्दिया स.459 जि.3)

मसअ्ला.475:– दो आदमियों ने अपने जानवर रास्ते पर खड़े कर दिये थे एक भागा जिस से दूसरा गिरा और मरगया तो किसी पर कुछ नहीं है अगर भागने वाला उस से टकराकर मरगया तो दूसरे का मालिक ज़मान देगा। (आलमगीरी स.43 जि.6, काजी खाँ अलल्हिन्दिया स.459 जि.3)

मसअ्ला.476:– किसी ने रास्ते में कोई चीज़ रखदी जिसको देख कर उधर से गुज़रने वाला जानवर बिदक कर भागा उसने किसी आदमी को मार दिया तो उस शय के रखने वाले पर कोई ज़मान नहीं है इसी तरह ऐसी ही गिराऊ दीवार जिसके गिराने का मुतालबा किया जाचुका था ज़मीन पर गिरी इस से कोई जानवर भड़क कर भागा जिस से कुचल कर कोई शख़्स मरगया तो दीवार वाला ज़ामिन नहीं होगा दीवार का मालिक और रास्ते में चीज़ रखने वाला सिर्फ़ इस सूरत में ज़ामिन होंगे कि दीवार या इस चीज़ से लग कर हलाकत वाक़ेअ् हो।(आलमगीरी स.44 जि.6)

मसअ्ला.477:– अहले मस्जिद ने बारिश का पानी जमअ् करने के लिये मस्जिद में कुवाँ खुदवाया या बड़ा सा मटका रखाया या चटाई बिछाई या दरवाज़ा लगाया या छत में क़िन्दील लटकाई या सायबान डाला और उन से कोई शख़्स हलाक होगया तो अहले मस्जिद पर ज़मान नहीं और अगर अहले महल्ला के एलावा दूसरे लोगों ने यह सब काम अहले महल्ला की इजाज़त से किये थे और उनसे कोई हलाक होगया तब भी किसी पर कुछ नहीं और बिग़ैर इजाज़त यह काम किये और उन से कोई हलाक होगया तो कुवां और सायबान की सूरत में ज़ामिन होंगे और बक़ाया सूरतों में ज़ामिन नहीं होंगे। (आलमगीरी स.44 जि.5 शामी स.523 जि.5, बहरूर्राइक स.352 जि.8)

मसअ्ला.478:– कोई शख़्स मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था या नमाज़ के इन्तिज़ार में बैठा था या क़िराअ्ते क़ुर्आन में मशगूल था या फ़िक़्ह व हदीस का दर्स दे रहा था या एअ्तिकाफ़ में था या किसी इबादत में मशगूल था कि इस से टकराकर कोई शख़्स गिर पड़ा और मरगया तो फ़तवा यह है कि इस पर ज़मान नहीं है। (आलमगीरी स.44 जि.6 हिदाया स.589 जि.4)

मसअ्ला.479:– मस्जिद में कोई शख़्स टहल रहा था कि किसी को कुचल दिया या मस्जिद में सो रहा था और करवट ली और किसी पर गिर पड़ा जिस से वह मर गया तो वह ज़ामिन होगा(आलमगीरी)

मसअ्ला.480:– किसी ने इमाम (हाकिमे वक़्त) की इजाज़त से रास्ते में चहबुच्चा (छोटा हौज जो बारिश वग़ैरा का पानी जमा करने के लिये बनाया जाता है) खोदा या अपनी मिल्क में खोदा या रास्ते में कोई लकड़ी रखदी या बिला इजाज़ते इमाम पुल बनवाया उस पर से कोई शख़्स क़स्दन गुज़रा और गिरकर हलाक होगया तो फ़ाइल ज़ामिन नहीं होगा। (आलमगीरी अज़ मुहीत स.44 जि.6 शामी व दुर्रे मुख़्तार स.524 जि.5)

मसअ्ला.481:– किसी ने रास्ते में कुवां खोदा उस में किसी ने गिरकर खुदकुशी करली तो कुवां खोदने वाला ज़ामिन नहीं है। (आलमगीरी स.45 जि.6 बहरुर्राइक स.348 जि.8)

मसअ्ला.482:– किसी ने मुसलमानों के रास्ते में अपने घर के गिर्दागिर्द से हटकर कुवां खोदा जिसमें गिरकर कोई शख़्स मरगया तो इसके आक़िला पर मरने वाले की दियत वाजिब होगी। और इस पर कफ़्फ़ारा नहीं है और वह मीरास् से भी महरूम नहीं होगा(आलमगीरी स.45 जि.6 बहरुर्राइक स.348 जि.8)

मसअ्ला.483:– अगर किसी दूसरे के मकान के गिर्दागिर्द कुंआं खोदा, या ऐसी जगह खोदा जो मुसलमानों की मुश्तर्का मिल्कियत है या ऐसे रास्ते पर खोदा जो आगे जाकर बन्द होजाता है और उस कुँएं में कोई गिरकर मरगया तो यह ज़ामिन होगा और अपने घर के गिर्दागिर्द अपनी मम्लूका

जमीन पर खोदा या ऐसी जगह खोदा जहाँ इस को पहले से कुँवां खोदने का हक़ हासिल था और उस में गिरकर मरगया तो उसपर ज़मान नहीं है।(आलमगीरी स.145 जि.6)

मसअ्ला.484:— किसी ने रास्ते में कुँवां खोदा और इस में कोई शख़्स गिर पड़ा और भूक प्यास या वहां के तअफ़्फ़ुन की वजह से दम घुट गया और मरगया तो कुँवां खोदने वाला ज़ामिन नहीं होगा।

मसअ्ला.485:— किसी ने ऐसे मैदान में बिग़ैर इजाज़ते इमाम कुंवां खोदा जहाँ लोगों की गुज़रगाह नहीं है इसी तरह उस मैदान में कोई शख़्स बैठा हुआ था या किसी ने ख़ेमा लगालिया था इस शख़्स से या ख़ेमा से कोई शख़्स टकरा गया तो बैठने वाला और ख़ेमा लगाने वाला ज़ामिन नहीं है और अगर यह सूरतें रास्ते में वाक़ेअ् हों तो ज़ामिन होगा।(आलमगीरी 29 जि.6, खानिया अलाल्हिन्दिया स.460 जि.3)

मसअ्ला.486:— एक शख़्स ने रास्ते पर निस्फ़ कुवाँ खोदा फिर दूसरे ने बक़िया हिस्सा खोदकर उसे तह तक पहुँचाया इस में कोई शख़्स गिरगया तो पहला खोदने वाला ज़ामिन है।(आलमगीरी स.45जि.6)

मसअ्ला.487:— किसी ने रास्ते में कुवाँ खोदा फिर दूसरे ने उसका मुँह चौड़ा करदिया तो यह देखा जायेगा कि उसने चौड़ाई में कितना इज़ाफ़ा किया है अगर इतना ज़्यादा इज़ाफ़ा है कि गिरने वाले का क़दम चौड़ा करने वाले के हिस्से पर पड़ेगा तो यह ज़ामिन होगा। और अगर इतना कम इज़ाफ़ा किया है कि गिरने वाले का क़दम उसके इज़ाफ़े पर नहीं पड़ेगा तो पहला खोदने वाला ज़ामिन होगा और अगर इज़ाफ़ा इतना है कि दोनों हिस्सों पर क़दम पड़ने का एहतिमाल हो और यह मालूम न होसके कि क़दम किस हिस्से पर पड़ा था तो दोनों निस्फ़ निस्फ़ के ज़ामिन होंगे(आलमगीरी)

मसअ्ला.488:— किसी ने रास्ते में कुँवां खोदा फिर उसको मिट्टी, चूना या जिन्से अर्द में से किसी से पाट दिया फिर दूसरे ने आकर यह चीज़ें निकाल कर उसको ख़ाली कर दिया फिर उस में कोई शख़्स गिरकर मरगया तो ख़ाली करने वाला ज़ामिन होगा और अगर पहले ने खाने वग़ैरा से या किसी ऐसी चीज़ से पाटा जो जिन्से अर्द से नहीं है और दूसरे शख़्स ने उसको निकाल कर खाली करदिया फिर दूसरे ने उसका मुँह खोल दिया फिर इसमें गिरकर कोई शख़्स हलाक होगया तो पहले वाला ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.45 जि.6)

मसअ्ला.489:— किसी ने कुएं के क़रीब रास्ते पर पत्थर रखदिया और कोई शख़्स इस में फंसकर कुएं में गिर पड़ा तो पत्थर रखने वाला ज़ामिन होगा और अगर किसी ने पत्थर नहीं रखा था बल्कि सैलाब वग़ैरा से बहकर पत्थर वहाँ आगया था तो कुंवां खोदने वाला ज़ामिन होगा।(आलमगीरी स.45 जि.6)

मसअ्ला.490:— किसी शख़्स ने कुएं में पत्थर या लोहा डाल दिया फिर इस में कोई गिर पड़ा और पत्थर या लोहे से टकराकर मर गया तो कुवाँ खोदने वाला ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.5 जि.6)

मसअ्ला.491:— रास्ते में किसी ने कुंवां खोदा इस के क़रीब किसी ने पानी छिड़क दिया जिससे फिसलकर कोई शख़्स कुएं में गिर पड़ा तो पानी छिड़कने वाला ज़ामिन होगा और अगर पानी छिड़कने वाला कोई नहीं था बल्कि बारिश से फिसलन होगई थी तो कुंवां खोदने वाला ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.45 जि.6)

मसअ्ला.492:— किसी शख़्स ने किसी को कुएं में ढकेल दिया तो ढकेलने वाला ज़ामिन होगा कुंवां उसकी मिल्क हो या न हो। (आलमगीरी स.45 जि.8 बहरुर्राइक़ स.348 जि.8)

मसअ्ला.493:— किसी ने रास्ते में कुंवां खोदा। इस में गिरकर कोई हलाक होगया। कुंवां खोदने वाला कहता है कि इसने खुदकुशी की है इस लिये कुछ ज़मान नहीं है और मक़तूल के वुरसा कहते हैं कि इसने खुदकुशी नहीं की है बल्कि इत्तिफ़ाक़िया कुएं में गिर पड़ा है तो कुंवां खोदने वाले का क़ौल मोअ्तबर है और इस पर कोई ज़मान नहीं। (आलमगीरी स.45 जि.6, बहरुर्राइक़ स.348 जि.8)

मसअ्ला.494:— किसी ने रास्ते में कुवाँ खोदा उस में कोई आदमी गिरगया मगर चोट नहीं आई फिर कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था कि कुछ ऊपर को चढ़ने के बाद गिरकर मरगया तो कुंवा खोदने वाले पर कोई ज़मान नहीं। और अगर कुएं की तह में चला गया फिर और

किसी पत्थर से टकराकर हलाक होगया तो अगर वह पत्थर ज़मीन में ख़िलक़तन (क़ुदरती तौर पर) गढ़ा हुआ है तो कुंआं खोदने वाला ज़ामिन नहीं है और अगर कुआँ खोदने वाले ने यह पत्थर कुएं में रखा था या अस्ल जगह से उखेड़ कर दूसरी जगह पर रखदिया था तो कुंवा खोदने वाला ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.46 जि6)

मसअ्ला.495:– किसी ने दूसरे शख़्स के मकान से मुल्हिक़ जगह (मिली हुई जगह) पर कुंवाँ खोदने के लिये किसी को मज़दूर रखा और मज़दूर खुद यह जानता था कि यह जगह मुस्ताजिर की नहीं है या मुस्ताजिर ने मज़दूर को बता दिया था तो मज़दूर ज़ामिन होगा अगर इस कुएँ में कोई गिरकर मरगया और अगर मज़दूर को नहीं बताया गया और वह खुद भी नहीं जानता था कि यह जगह मुस्ताजिर की नहीं है तो मुस्ताजिर ज़ामिन होगया। और अगर मुस्ताजिर ने अपने इहाता मुल्हिक़ा अपनी ज़मीन में कुंवां खोदने पर मज़दूर रखा और उसको यह बताया कि इस जगह कुंवां खोदने का मुझे हक़ हासिल है। फिर इस कुंऐ में कोई शख़्स अगर गिरकर हलाक होगया तो मुस्ताजिर ज़ामिन होगा और अगर मुस्ताजिर ने यह कहा था कि यह जगह मेरी है मगर कुंवां खोदने का हक़ नहीं तो भी मुस्ताजिर ही ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.46 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.524 जि.5)

मसअ्ला.496:– चार आदमियों को किसी ने कुंवाँ खोदने के लिये मज़दूरी पर रखा वह कुंवाँ खोद रहे थे कि उन पर कुछ हिस्सा गिर पड़ा जिस से एक मज़दूर हलाक होगया तो बाक़ी तीन मज़दूर चौथाई, चौथाई दियत के ज़ामिन होंगे और एक चौथाई हिस्सा साकित होजायेगा और अगर एक ही मज़दूर कुंवाँ खोद रहा था उस पर कुंवाँ गिर पड़ा और वह मज़दूर मरगया तो इसका कोई जमान नही(आलमगीरी स.64 जि.6)

मसअ्ला.497:– किसी शख़्स ने अपनी ज़मीन में नहर खोदी जिस में गिरकर कोई इन्सान या जानवर हलाक होगया तो यह शख़्स ज़ामिन नहीं होगा और अगर पराई ज़मीन में नहर खोदी थी तो यह ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.47 जि.6)

मसअ्ला.498:– किसी ने अपनी ज़मीन में नहर या कुंवां खोदा जिससे पड़ोसी की ज़मीन सीमज़दा (नाक़ाबिले काश्त) होगई तो यह देखा जायेगा कुंवाँ खोदने वाले की अपनी ज़मीन आदतन जितना पानी बरदाश्त कर सकती थी उतना पानी उसने दिया है या उस से ज़्यादा अगर ज्यादा दिया है तो ज़ामिन होगा। और अगर आदतन उतना पानी बरदाश्त कर सकती थी तो यह ज़ामिन नहीं होगा। और उस को कुंऐं की जगह तब्दील करने का हुक्म नहीं दिया जायेगा। (आलमगीरी स.47 जि.6)

मसअ्ला.499:– अगर किसी ने अपनी ज़मीन में पानी दिया और वह उसकी ज़मीन से बहकर दूसरे की ज़मीन में पहुँच गया और उसकी किसी चीज़ को नुक़सान पहुँचाया और वह पानी देते वक़्त यह जानता था कि यह पानी बहकर दूसरे की ज़मीन में चला जायेगा तो यह ज़ामिन होगा वरना नही(आलमगीरी)

मसअ्ला.500:– रास्ते पर कुंवाँ बना हुआ था उस में कोई आदमी गिरकर मरगया एक शख़्स यह इक़रार करता है कि मैंने यह कुंवाँ खोदा है तो उसके इस इक़रार की वजह से उसके माल में से तीन साल में दियत दी जायेगी इस के आक़िला पर नहीं होगी। (आलमगीरी स.46 जि.6)

मसअ्ला.501:– किसी ने दूसरे की ज़मीन में कुंवाँ खोदा उसमें गिरकर कोई शख़्स हलाक होगया ज़मीन का मालिक कहता है कि मैंने इस को कुंवां खोदने का हुक्म दिया था मगर मक़्तूल के वुरसा कहते हैं कि उसने हुक्म नहीं दिया था तो ज़मीन के मालिक की बात मानली जायेगी और किसी पर ज़मान लाज़िम नहीं होगा। (मब्सूत स.23 जि.27)

मसअ्ला.502:– किसी ने अपनी मिल्क में कुंवाँ खोदा उसमें कोई आदमी या जानवर गिरा उसके बाद दूसरा शख़्स गिरा इसके गिरने से वह आदमी या जानवर हलाक होगया तो ऊपर गिरने वाला हलाकत का ज़ामिन होगा और अगर कुंवाँ रास्ते में इमाम की इजाज़त के बिग़ैर खोदा गया था तो कुंवाँ खोदने वाला दोनों के नुक़सान का ज़ामिन होगा(आलमगीरी स.46 जि.6 ख़ानिया अलल्हिन्दिया स.361 जि.3)

मसअ्ला.503:– किसी ने दूसरे के घर में उस की इजाज़त के बिग़ैर गड्ढा खोदा उस में किसी

का गधा गिरकर मरगया तो खोदने वाला ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.46 जि.6)
मसअ्ला.504:– किसी ने रास्ते में कुंवां खोदा उस में कोई शख़्स गिर गया और उसका हाथ क
गया फिर कुएँ से निकला तो दो शख़्सों ने उसका सर फाड़ दिया जिस से वह बीमार होकर प
रहा फिर मर गया तो इसकी दियत तीनों पर तक़सीम होजायेगी। (आलमगीरी स.46 जि.6)
मसअ्ला.504:– किसी ने कुवाँ खोदने के लिये किसी को मज़दूर रखा मज़दूर ने कुवाँ खोदा इस
के बाद कोई आदमी इस में गिरकर हलाक होगया यह कुवाँ अगर मुसलमानों के ऐसे आम रास्ते पर
खोदा गया था जिसको हर शख़्स आम रास्ता ख़्याल करता था तो मज़दूर ज़ामिन होगा मुस्ताजिर
ने उसको यह बताया हो कि यह आम रास्ता है या न बताया हो इसी तरह गै़र मअ्रुफ़ रास्ते पर
अगर कुवाँ खोदा गया और मुस्ताजिर ने मज़दूर को यह बता दिया था कि यह आम मुसलमानों का
रास्ता है तो भी मज़दूर ज़ामिन होगा। और अगर मज़दूर को यह नहीं बताया था कि यह आम
रास्ता मुसलमानों का रास्ता है तो भी मज़दूर ज़ामिन होगा। और अगर मज़दूर को यह नहीं बताया
था कि यह आम रास्ता मुसलमानों का है तो मुस्ताजिर ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.46 जि.6)
मसअ्ला.506:– किसी ने अपनी ज़मीन में पानी दिया वह पड़ोसी की ज़मीन में पहुँच गया तो अगर
पानी दिया ही इस तरह पर है कि पानी उसकी ज़मीन में ठहरने के बजाय पड़ोसी की ज़मीन में
जमा होजाये तो ज़ामिन होगा। और अगर उसकी अपनी ज़मीन में ठैरने के बाद फ़ाल्तू पानी पड़ोसी
की ज़मीन में चलागया और पड़ोसी ने पानी देने से पहले उससे यह कहा था कि तुम अपना बन्द
मजबूत बनाओ और उसने इसके कहने पर अ़मल नहीं किया तो ज़ामिन होगा और अगर पड़ोसी ने
यह मुतालबा नहीं किया था तो ज़ामिन नहीं होगा। हाँ अगर उसकी ज़मीन बलन्द थी और पड़ोसी
की ज़मीन नीची और यह जानता था कि अपनी ज़मीन में पानी देने से पड़ोसी की ज़मीन में पानी
चला जायेगा तो ज़ामिन होगा और उसको यह हुक्म दिया जायेगा कि मेंढ़ें बाँधकर पानी दे (आलमगीरी)
मसअ्ला.507:– किसी ने अपनी ज़मीन में पानी दिया और उसकी अपनी ज़मीन में चूहों वग़ैरा के
बिल थे और यह उनको जानता था और उनको बन्द नहीं किया था। उन सूराख़ों की वजह से
पानी पड़ोसी की ज़मीन में चलागया और उसका कुछ नुक़सान हुआ तो यह ज़ामिन होगा और अगर
उसको सूराख़ों का इल्म न था तो ज़ामिन नहीं होगा। (आलमगीरी स.47 जि.6 क़ाजीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.461 जि.3)
मसअ्ला.508:– किसी ने आ़म नहर से अपनी ज़मीन को सैराब किया और इस नहर से छोटी
छोटी नालियाँ निकलकर दूसरों की ज़मीन पर जा रही थीं। उन नालियों के दहाने खुले हुए थे।
इस के पानी देने की वजह से उन नालियों में पानी चला गया तो दूसरों की ज़मीन के नुक़सान का
यह ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.47 जि.6 क़ाजीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.461 जि.3)

जनायाते बहाइम का बयान

जानवरों से नुक़सान का बयान

मसअ्ला.509:– बहाइम की जनायतों की तीन सूरतें हैं :
1.जिस जगह पर जनायत वाक़ेअ् हुई वह जगह जानवर के मालिक की मिल्कियत है।
2.किसी दूसरे शख़्स की मिल्कियत है।
3.वह जगह शाहराहे आ़म है।

पहली सूरत में अगर जानवर का मालिक जानवर के साथ न हो तो वह किसी नुक़सान का
जामिन न होगा ख़्वाह जानवर खड़ा हो या चल रहा हो और हाथ पैर से किसी को कुचलदे या दुम
या पैर से किसी को नुक़सान पहुँचाये या काटले और अगर जानवर का मालिक उसकी रस्सी
पकड़कर आगे आगे चल रहा था या पीछे से हांक रहा था जब भी मज़कूरा बाला सूरत में ज़ामिन
नहीं है। (आलमगीरी स.50 जि.6. दुर्रेमुख़्तार व शामी स.530 जि.5)
मसअ्ला.510:– अगर जानवर का मालिक अपनी मिल्क में सवार होकर चला रहा था और जानवर

ने किसी को कुचल कर हलाक कर डाला मालिक के आक़िला पर दियत है और मालिक पर कफ़्फ़ारा है और विरासत से भी मालिक महरूम होगा।(आलमगीरी स.50 जि.6 दुर्रेमुख़्तार व शामी स.530 जि.5)

मसअ्ला.511:– अगर मालिक अपनी मिल्क में सवार होकर चला रहा था और जानवर ने किसी को काट लिया या लात मारी या दुम मारदी तो मालिक पर ज़मान नहीं है।(आलमगीरी स.50 जि.6)

मसअ्ला.512:– दूसरी सूरत यानी अगर जनायत किसी दूसरे शख़्स की ज़मीन में हुई और यह जानवर मालिक के दाख़िल किये बिग़ैर रस्सी तुड़ाकर उसकी ज़मीन में दाख़िल होगया तो मालिक ज़ामिन नहीं होगा। और अगर मालिक ने खुद ग़ैर की ज़मीन में जानवर को दाख़िल किया था तो हर सूरत में मालिक ज़ामिन होगा। ख़्वाह जानवर खड़ा हो या चल रहा हो। मालिक उस पर सवार हो या सवार न हो। रस्सी पकड़कर चला रहा हो या पीछे से हांक रहा हो यह हुक्म उस सूरत में है कि मालिक ज़मीन की इजाज़त के बिग़ैर जानवर के मालिक ने उस ज़मीन में जानवर को दाख़िल किया हो और अगर साहिबे ज़मीन की इजाज़त से जानवर को दाख़िल किया था तो इस का हुक्म वही है जो अपनी ज़मीन का है। (आलमगीरी स.50 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.530 जि.5)

मसअ्ला.513:– जानवर के मालिक ने शारेअ् आम पर जानवर को खड़ा कर दिया था और उस ने उसी जगह कोई नुक़सान कर दिया तो सब सूरतों में नुक़सान का ज़ामिन होगा मगर पेशाब या लीद करने के लिये खड़ा किया था तो ज़ामिन नहीं। (आलमगीरी स.57 जि.6, बहरुर्राइक़ स.357 जि.8)

मसअ्ला.514:– मालिक ने जानवर को रास्ते पर छोड़दिया और मालिक उसके साथ नहीं है तो जब तक वह जानवर सीधा चलता रहा और किसी तरफ़ मुड़ा नहीं तो मालिक नुक़सान का ज़ामिन होगा और अगर दाहिने बायें मुड़गया और रास्ता भी सिर्फ़ इसी जानिब था तब भी मालिक ज़ामिन होगा और अगर दोराहे से किसी तरफ़ मुड़ा और इस के बाद जनायात वाक़ेअ् हुई तो मालिक ज़ामिन नहीं होगा। (आलमगीरी स.57 जि.6, बहरुर्राइक़ स.362 जि.8)

मसअ्ला.515:– मालिक ने जानवर को शारेअ् आम पर छोड़ दिया जानवर आगे जाकर कुछ देर रुका और फिर चल पड़ा तो ठहरने के बाद जब चला और उस से कोई जनायत सरज़द हुई तो मालिक नुक़सान का ज़ामिन नहीं होगा। (आलमगीरी स.50 जि.6 बहरुर्राइक़ स.362 जि.8)

मसअ्ला.516:– मालिक ने रास्ते पर जानवर छोड दिया और किसी शख़्स ने इस जानवर को लौटाने की कोशिश की मगर जानवर न लौटा और उसी तरफ़ चलता रहा जिस तरफ़ मालिक ने चलाकर छोड़ दिया था फिर उससे जनायत सरज़द हुई तो इस नुक़सान का ज़ामिन जानवर का मालिक होगा और अगर रोकने वाले के रोकने से जानवर कुछ देर ठहर कर फिर चला और उस से कोई नुक़सान हुआ तो कोई ज़ामिन नहीं होगा और अगर रोकने वाले के रोकने से पलटा मगर ठहरा नहीं तो नुक़सान का ज़ामिन लौटाने वाला होगा। (आलमगीरी स.50 जि.6)

मसअ्ला.517:– जानवर खुद रस्सी तुड़ाकर शारेअ् आम पर दौड़ने लगा तो इस के किसी नुक़सान का ज़ामिन मालिक नहीं होगा। (आलमगीरी स.50 जि.6, बहरुर्राइक़ स.362 जि.8)

मसअ्ला.518:– शारेअ् आम पर चलने वाला सवार अपनी सवारी से होने वाले नुक़सान का ज़ामिन होगा। सिवाए उस नुक़सान के जो लात मारने या दुम मारने से हो। रस्सी पकड़कर आगे चलने वाले का भी यही हुक्म है हाँ कुचल देने की सूरत में राकिब पर कफ़्फ़ारा और हिरमाने मीरास् (विरासत से महरूमी) भी है लेकिन क़ाइद (आगे से जानवर को चलाने वाला) पर नहीं है।(आलमगीरी स.50 जि.6)

मसअ्ला.519:– किसी जानवर पर दो आदमी सवार हैं एक रस्सी पकड़कर आगे से खींच रहा है और एक पीछे से हांक रहा है और उस जानवर ने किसी को कुचल कर हलाक करदिया तो चारों पर दियत बराबर तक़सीम होगी और दोनों सवारों पर कफ़्फ़ारा भी है। (आलमगीरी ब'हवाला मुहीत स.50 जि.6)

मसअ्ला.520:– जानवर ने शारेअ् आम पर चलते हुए गोबर या पेशाब कर दिया इस से फिसलकर कोई आदमी हलाक होगया तो कोई ज़मान नहीं है खड़े हुए अगर गोबर या पेशाब किया तब भी

यही हुक्म है बशर्ते कि जानवर पेशाब या लीद के लिये खड़ा किया था और अगर किसी दूसरे काम से खड़ा किया था और इस ने पेशाब या लीद करदी तो इस के नुक़सान का ज़ामिन होगा(आलमगीरी)

मसअला.521:– जानवर के चलने से कोई कंकरी या गुठ्ली या गर्द व गुबार उड़कर किसी की ऑख में लगा कीचड़ वग़ैरा ने किसी के कपड़े ख़राब कर दिये तो उसका ज़ामिन नहीं है और अगर बड़ा पत्थर उछल कर किसी के लगा तो नुक़सान का ज़ामिन होगा यह हुक्म सवार और काइद व साइक़ (यानी हांकने वाला) सब के लिये है। (आलमगीरी स.50 जि.6 दुर्रेमुख़्तार व शामी स.530 जि.5)

मसअला.522:– किसी शख़्स ने रास्ते में पत्थर वग़ैरा कोई चीज़ रखदी थी या पानी छिड़क दिया था कोई सवार उधर से गुज़रा उसके जानवर ने ठोकर खाई या फिसल गया और किसी आदमी पर गिर पड़ा जिस से वह शख़्स मरगया तो अगर सवार ने दीदा दानिस्ता वहाँ से अपने जानवर को गुज़ारा तो सवार ज़ामिन होगा और अगर सवार को उन बातों का इल्म न था तो पानी छिड़कने वाला या पत्थर रखने वाला ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.50 जि.6 बहरूर्राक स.359 जि.8, बदाइअ व सनाइअ स.272 जि.7)

मसअला.523:– अगर किसी शख़्स ने मस्जिद के दरवाज़े पर अपना जानवर खड़ा कर दिया था। उस ने किसी को लात मारदी तो खड़ा करने वाला ज़ामिन है और अगर मस्जिद के दरवाज़े के क़रीब जानवर के बाँधने की कोई जगह मुक़र्रर है उस जगह किसी ने अपना जानवर बाँध दिया या खड़ा कर दिया था तो इस के किसी नुक़सान का ज़मान नहीं है लेकिन अगर उस जगह कोई शख़्स अपने जानवर को सवार होकर या हांक कर या आगे से खींचकर चला रहा था तो चलाने वाला नुक़सान का ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.50 जि.6 दुर्रेमुख़्तार व शामी स.530 जि.5)

मसअला.524:– नख़्ख़ासा (जानवरों की मण्डी) में किसी ने अपने जानवर को खड़ा किया उसने किसी को कोई नुक़सान पहुँचाया तो मालिक ज़ामिन नहीं होगा। (आलमगीरी स.51 जि.6, बहरूर्राइक़ स.357 जि.8)

मसअला.525:– किसी ने मैदान में अपना जानवर खड़ा किया तो इस के नुक़सान का ज़ामिन खड़ा करने वाला नहीं होगा लेकिन मैदान में लोगों के चलने से जो रास्ता बन जाता है उस पर अगर खड़ा किया तो ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.50 जि.6, शामी स.530 जि.5, बदाइअ व सनाइअ स.272 जि.7)

मसअला.526:– शारेअ़ आम पर अगर किसी ने अपना जानवर बिग़ैर बांधे खड़ा कर दिया जानवर ने वहाँ से हटकर कोई नुक़सान कर दिया तो ज़ामिन नहीं है। (आलमगीरी स.51 जि.6)

मसअला.527:– किसी ने आम रास्ते में जानवर बान्ध दिया अगर उसने रस्सी तुड़ाकर अपनी जगह से हटकर कोई नुक़सान पहुँचाया तो ज़मान नहीं है और अगर रस्सी नहीं तुड़ाई और कोई नुक़सान किया तो ज़मान है। (आलमगीरी स.51 जि.6)

मसअला.528:– जानवर ने सवार से सरकशी की और सवार ने उसे मारा या लगाम खींची और जानवर ने पैर या दुम से किसी को मारा तो सवार पर ज़मान नहीं है इसी तरह अगर सवार गिर पड़ा और जानवर भागगया और रास्ते में किसी को मारडाला तब भी सवार पर कुछ नहीं है।(आलमगीरी)

मसअला.529:– किसी ने किराये पर गधा लिया और उसको अहले मज्लिस के क़रीब रास्ते पर खड़ा कर दिया और अहले मज्लिस से सलाम, कलाम किया फिर उसको चलाने के लिये मारा या कोई चीज़ उसकी छूदी या उसको हांका और उस गधे ने किसी को लात मारदी तो सवार ज़ामिन होगा। (आलमगीरी)

मसअला.530:– सवार अपनी सवारी पर जा रहा था किसी ने सवारी को कोई चीज़ चुभोदी उसने सवार को गिरा दिया तो अगर यह चुभोना सवार की इजाज़त से था तो चुभोने वाला किसी नुक़सान का ज़ामिन नहीं है और अगर बिग़ैर इजाज़ते सवार कोई चीज़ चुभोदी तो चुभोने वाला ज़ामिन होगा। और अगर सवारी ने चुभोने वाले को हलाक कर दिया तो उसका ख़ून रायगाँ जायेगा। (आलमगीरी स.51 जि.6, क़ाज़ीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.456 जि.3, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.534 जि.5)

मसअला.531:– सवारी को सवार की इजाज़त के बिग़ैर किसी ने मारा या कोई चीज़ चुभोदी जिस की वजह से सवारी ने हाथ या पैर या जिस्म के किसी हिस्से से किसी शख़्स को फ़ौरन कुचल कर

हलाक कर दिया तो चुभोने और मारने वाला ज़ामिन होगा सवार ज़ामिन नहीं होगा और सवार की इजाज़त से ऐसा किया और सवारी ने फौरन किसी को कुचल कर हलाक कर दिया तो सवार और चुभोने वाले दोनों के आक़िला पर दियत लाज़िम है और अगर सवारी ने किसी को लात या दुम मारदी तो इस का ज़मान नहीं है। (आलमगीरी स.51 जि.6, दुर्रेमुख्तार व शामी स.534 जि.5)

मसअ्ला.532:– सवार किसी गैर की मिल्क में अपनी सवारी को रोके खड़ा था उसने किसी शख़्स को हुक्म दिया कि उसको कोई चीज चुभोदे। उसने चुभोदी और उसकी वजह से सवारी ने किसी को लात मारदी तो दोनों ज़ामिन होंगे और अगर बिगैर इजाज़ते सवार ऐसा किया था तो चुभोने वाला ज़ामिन होगा मगर इस सूरत में कफ्फ़ारा लाज़िम नहीं होगा। (आलमगीरी व तबईन स.51 जि.6 बहरुर्राइक)

मसअ्ला.533:– कोई शख़्स जानवर को रस्सी पकड़कर खींच रहा था या पीछे से हांक रहा था कि किसी ने जानवर के कोई चीज चुभोदी और इस की वजह से जानवर ने बिदक कर चलाने वाले के हाथ से रस्सी छुड़ाली और भाग पड़ा और फौरन किसी का कुछ नुक़सान कर दिया तो चुभोने वाला ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.51 जि.6 शामी स.535 जि.5 काज़ीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.456 जि.3)

मसअ्ला.534:– किसी जानवर को एक आदमी आगे से खींच रहा था और दूसरा पीछे से चला रहा था उन दोनों की इजाज़त के बिगैर किसी और ने जानवर को कोई चीज़ चुभोदी जिसकी वजह से जानवर ने किसी आदमी के लात मारदी तो चुभोने वाला ज़ामिन होगा और अगर किसी एक की इजाज़त से ऐसा किया था तो किसी पर ज़मान नहीं है।(आलमगीरी स.51 जि.6 काज़ीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.456 जि.3)

मसअ्ला.535:– रास्ते में किसी शख़्स ने कोई चीज़ नस्ब करदी थी किसी का जानवर वहाँ से गुज़रा और उस चीज़ के चुभने की वजह से किसी को लात मारकर हलाक कर दिया तो नस्ब करने वाला ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.52 जि.5 शामी स.535 जि.5 हिदाया स.617 जि.4)

मसअ्ला.536:– किसी सवार ने अपनी सवारी को रास्ते में रोक रखा था फिर उसके हुक्म से किसी ने सवारी को कोई चीज़ चुभोदी जिस की वजह से सवारी ने उसी जगह किसी को हलाक कर दिया तो दोनों ज़ामिन होंगे। और अगर सवार को गिराकर हलाक कर दिया तो उसका ख़ून रायगाँ (बेकार) जायेगा और अगर इस चुभोने की वजह से अपनी जगह से हटकर किसी को हलाक कर दिया तो सिर्फ़ चुभोने वाला ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.52 जि.6. शामी स.535 जि.5. बहरुर्राइक स.358 जि.8)

मसअ्ला.537:– कोई सवार अपनी सवारी को रास्ते पर रोके खड़ा था फिर उसके हुक्म से किसी ने उसको कोई चीज़ चुभोदी जिसकी वजह से सवारी ने उसी जगह पर चुभोने वाले को और एक दूसरे शख़्स को हलाक करदिया तो अजनबी की दियत सवार और चुभोने वाले दोनों पर वाजिबुल अदा होगी और चुभोने वाले की आधी दियत सवार पर है। (आलमगीरी स.52 जि.6 शामी स.535 जि.5)

मसअ्ला.538:– किसी सवार की सवारी रुक कर रास्ते में खड़ी होगई सवार ने या किसी दूसरे शख़्स ने उसको चलाने के लिये कोई चीज़ चुभोई और इसकी वजह से सवारी ने किसी के लात मारदी तो कोई ज़ामिन नहीं है। (आलमगीरी स.52 जि.6. शामी स.535 जि.5. बहरुर्राइक स.358 जि.8)

मसअ्ला.539:– किसी सवार ने अपनी सवारी को रास्ते पर रोक रखा था, एक दूसरा शख़्स भी उस पर सवार होगया, इसकी वजह से किसी को जानवर ने लात मारदी और हलाक कर दिया तो दोनों निस्फ़ निस्फ़ दियत के ज़ामिन होंगे। (आलमगीरी स.52 जि.6)

मसअ्ला.540:– किसी ने दूसरे के जानवर को रास्ते पर बान्ध दिया और ख़ुद ग़ायब होगया जानवर के मालिक ने किसी को हुक्म दिया कि इसको कोई चीज़ चुभोदे और उसने चुभोदी जिसकी वजह से जानवर ने हुक्म देने वाले को या और किसी अजनबी को लात मारकर हलाक कर दिया तो इस की दियत चुभोने वाले पर है और अगर जानवर को खड़ा करने वाले ही ने चुभोने का हुक्म दिया था और जानवर ने किसी को मार दिया तो चुभोने वाले और हुक्म देने वाले दोनों पर निस्फ़–निस्फ़ दियत है। (आलमगीरी स.52 जि.6. बहरुर्राइक स.358 जि.8)

मसअ्ला.541:– किसी शख़्स ने रास्ते पर पत्थर रख दिया था इस से बिदक कर जानवर जो नुक़सान करेगा इसके अहकाम वही हैं जो चुभोने वाले के हैं यानी पत्थर रखने वाला चुभोने वाले के हुक्म में है। (आलमगीरी स.52 जि.6, मब्सूत स.4 जि.27)

मसअ्ला.542:– किसी ने अपना गधा छोड़ दिया, उसने किसी की खेती को नुक़सान पहुँचाया तो अगर मालिक ने उसको खुद खेत में लेजाकर छोड़ा है तो मालिक ज़ामिन होगा और अगर मालिक साथ नहीं गया लेकिन गधा खोलने के फ़ौरन बाद सीधा चला गया दाहिने बायें मुड़ा नहीं या मुड़ा तो सिर्फ़ इस वजह से कि रास्ता सिर्फ़ उसी तरफ़ मुड़ता था तब भी मालिक ज़ामिन होगा और अगर खोलने के बाद खड़ा रहा फिर खेत में गया या अपनी मर्ज़ी से किसी तरफ़ मुड़कर खेत में चला गया तो मालिक नुक़सान का ज़ामिन नहीं है। (आलमगीरी स.52 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.537 जि.5)

मसअ्ला.543:– अगर किसी ने जानवर को आबादी से बाहर कर के अपने खेत की तरफ़ हांक दिया रास्ते में उस जानवर ने किसी दूसरे की ज़राअत को नुक़सान पहुँचाया तो अगर रास्ता सिर्फ़ यही था तो ज़ामिन होगा और अगर चन्द रास्ते थे तो ज़ामिन नहीं होगा। (आलमगीरी स.52 जि.6)

मसअ्ला.544:–बाड़े से निकलकर जानवर खुद बाहर चलागया या मालिक ने चरागाह में छोड़ा था मगर वह किसी और के खेत में घुसगया और कोई नुक़सान करदिया तो मालिक ज़ामिन नहीं होगा(आलमगीरी स.52 जि.6)

मसअ्ला.545:– पाल्तू बिल्ली और कुत्ता अगर किसी के माल का नुक़सान करदें तो मालिक ज़ामिन नहीं है शिकारी परिन्दे का भी हुक्म यही है अगर्चे छोड़ने के फ़ौरन बाद कोई नुक़सान करदे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.546:– **(अ)**अगर किसी शख़्स ने अपना कुत्ता किसी बकरी पर छोड़ दिया मगर कुत्ता कुछ देर ठहरकर उसपर हमला आवर हुआ और बकरी को हलाक कर दिया तो ज़मान नहीं है अगर छोड़ने के फ़ौरन बाद हमला किया तो ज़ामिन होगा।(आलमगीरी स.52 जि.6, क़ाज़ीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.455 जि.3)

मसअ्ला.547:– **(ब)**अगर किसी आदमी पर कुत्ते को छोड़ दिया और उसने फ़ौरन उसको क़त्ल करदिया या उसके कपड़े फाड़दिये या काट खाया तो छोड़ने वाला ज़ामिन होगा।(आलमगीरी स.52 जि.6)

मसअ्ला.548:– किसी का कटख़ना कुत्ता है और गुज़रने वालों को ईज़ा देता है तो अहले महल्ला को हक़ है कि उसको मारदें और अगर मालिक को तम्बीह करने के बाद उस कुत्ते ने किसी का कुछ नुक़सान किया तो मालिक ज़ामिन होगा वरना नहीं।(आलमगीरी स.52 जि.6 बहरुर्राइक़ स.363 जि.8)

मसअ्ला.549:– किसी ने कुत्ता जानवर पर छोड़ा और मालिक साथ न गया कुत्ते ने किसी इन्सान को हलाक कर दिया तो मालिक ज़ामिन नहीं होगा(आलमगीरी स.52 जि.6, क़ाजी ख़ाँ अलल्हिन्दिया स.455 जि.3)

मसअ्ला.550:– किसी ने अपने मस्त ऊँट को दूसरे के घर में बिग़ैर इजाज़त दाख़िल कर दिया और इस घर में दूसरा ऊँट भी था जिसको मस्त ऊँट ने मार डाला तो ज़ामिन होगा और अगर साहिबे ख़ाना की इजाज़त से दाख़िल किया था तो ज़मान नहीं है।(आलमगीरी स.52 जि6, शामी स.537 जि.5)

मसअ्ला.551:– ऊँटों की क़तार को आगे से चलाने वाला पूरी क़तार के नुक़सान का ज़ामिन होगा ख़्वाह कितनी ही बड़ी क़तार हो जब कि पीछे से कोई हांकने वाला न हो और अगर पीछे से हांकने वाला भी हो तो दोनों ज़ामिन होंगे और अगर क़तार के दरम्यान में तीसरा हांकने वाला भी है जो क़तार के बराबर बराबर चल कर हांक रहा है और किसी की नकेल को पकड़े हुए नहीं है तो तीनों ज़ामिन होंगे। (आलमगीरी स.52 जि6, क़ाज़ीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.456 जि.3)

मसअ्ला.552:– अगर एक आदमी नकेल पकड़कर क़तार के आगे चल रहा है और दूसरा क़तार के दरम्यान में किसी ऊँट की नकेल पकड़कर चल रहा है तो दरम्यान वाले पीछे के ऊँटों के नुक़सान का ज़मान सिर्फ़ दरम्यान वाले पर है और दरम्यान वाले से आगे के ऊंटों के नुक़सान का ज़मान दोनों पर है और अगर यह दोनों जगह बदलते रहते हैं यानी कभी दरम्यान वाला आगे और आगे वाला दरम्यान में आजाते हैं तो हर सूरत में नुक़सान का ज़मान दोनों पर होगा(आलमगीरी स.53 जि6)

मसअ्ला.553:— एक शख़्स क़तार के आगे आगे नकेल पकड़कर चल रहा है और दूसरा क़तार के दरम्यान में नकेल पकड़कर अपने पीछे वाले ऊँटों को चला रहा है मगर अपने आगे वालों को हांक नहीं रहा है तो दरम्यान वाला पिछले ऊँटों के नुक़सान का ज़ामिन है और उस से आगे के ऊंटों के नुक़सान का ज़ामिन अगले नकेल पकड़ने वाले पर है। (आलमगीरी स.53 जि.6, बहरुर्राइक़ स.359 जि.8)

मसअ्ला.554:— क़तार के दरम्यान में किसी ऊँट पर कोई शख़्स सवार था लेकिन किसी को हांक नहीं रहा था तो अपने से अगले ऊँटों के ज़मान में शरीक नहीं होगा। लेकिन अपनी सवारी और अपने से पीछे ऊँटों के नुक़सान में शरीक होगा जब कि पिछले ऊँट की नकेल उसके हाथ में हो। और अगर यह अपने ऊँट पर सो रहा था या सिर्फ़ बैठा हुआ था और न किसी ऊँट को हांक रहा था न खींच रहा था तो अपने से पिछले ऊँटों के नुक़सान का भी ज़ामिन नहीं होगा। सिर्फ़ अपनी सवारी के ऊँट से होने वाले नुक़सान के ज़मान में शरीक होगा(आलमगीरी स.53 जि.6, बहरुर्राइक़ स.359 जि.8)

मसअ्ला.555:— एक शख़्स क़तार के आगे नकेल पकड़कर चल रहा है और दूसरा पीछे से हांक रहा है और तीसरा आदमी दरम्यान में किसी ऊँट पर सवार है और सवार के ऊँट ने किसी इन्सान को हलाक करदिया तो तीनों ज़ामिन होंगे और इसी तरह राकिब (सवार) से पीछे के ऊँट ने अगर किसी को हलाक करदिया तो भी तीनों ज़ामिन होंगे और अगर सवार से आगे के किसी ऊँट ने किसी को हलाक करदिया तो सिर्फ़ हांकने वाले और आगे से चलाने वाले पर ज़मान है सवार पर नहीं(आलमगीरी स.53जि.6)

मसअ्ला.556:— एक शख़्स ऊँटों की क़तार को आगे से चला रहा था या रोके खड़ा था कि किसी ने अपने ऊँट की नकेल को इस क़तार में इसकी इत्तिलाअ् के बिग़ैर बान्ध दिया और इस ऊँट ने किसी शख़्स को हलाक कर दिया तो इस की दियत आगे से चलाने वाले की आक़िला पर होगी। और इस के आक़िला बान्धने वाले के आक़िला से वापस लेंगे और अगर आगे वाले को बान्धने का इल्म था तो बान्धने वाले के आक़िला से दियत वापस नहीं लेंगे।(आलमगीरी स.53 जि6, क़ाज़ीख़ाँ अलहिन्दिया स.456 जि.3)

मसअ्ला.557:— किसी का जानवर दिन या रात में रस्सी तुड़ाकर भागा और किसी माल या जान का नुक़सान कर दिया तो जानवर का मालिक ज़ामिन नहीं होगा। (आलमगीरी अज हिदाया स.53 जि.6)

मसअ्ला.558:— किसी ने रात के वक़्त अपने खेत में दो बैल पाये और यह गुमान किया कि अपने गाँव वालों के हैं और वह उनको पकड़कर अपने मवेशी ख़ाने में ले जाने लगा कि उनमें से एक भाग गया और दूसरे को उसने बान्ध दिया इस के बाद भागने वाले को तलाश किया मगर न मिला और हक़ीक़त यह दोनों बैल किसी दूसरे गाँव वाले के थे चुनाँचे बैलों के मालिक ने आकर अपने गुमशुदा बैल का ज़मान तलब किया तो अगर बैल पकड़ने वाले की नियत पकड़ते वक़्त लौटाने की न थी तो ज़ामिन होगा और अगर नियत यह थी कि मालिक जब आयेगा तो वापस करदूँगा लेकिन अपने इस इरादे पर उसको गवाह बनाने का मौक़ा नहीं मिला तो ज़ामिन नहीं होगा(बहरुर्राइक़ स.353 जि.8)

मसअ्ला.559:— और अगर वह बैल इसी गाँव वाले के था और उसने सिर्फ़ अपनी खेती से उनको निकाल दिया और कुछ न किया तो बैल के गुम होजाने की सूरत में यह ज़ामिन नहीं होगा और अगर उसने खेत से निकाल कर किसी तरफ़ को हांक दिया था तो यह ज़ामिन होगा।(आलमगीरी स.53 जि6)

मसअ्ला.560:— किसी ने अपनी खेती में किसी का जानवर पाया और उसको अपने खेत से निकाल दिया और किसी तरफ़ हांका नहीं। उस जानवर को किसी दरिन्दे ने फाड़खाया तो खेत वाला ज़ामिन नहीं है और अगर खेत से निकालकर किसी तरफ़ को हांक दिया था तो ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.54 जि6)

मसअ्ला.561:— किसी ने अपने खेत में किसी का जानवर पाया उसको हांकता हुआ ले चला ताकि मालिक के सिपुर्द करदे रास्ते में जानवर हलाक होगया या उसका पैर टूट गया तो यह ज़ामिन होगा। (आलमगीरी अज़ क़ाज़ी ख़ाँ स.54 जि.6)

मसअ्ला.562:— किसी ने अपनी चरागाह में दूसरे के जानवर को देखा और उसको इतनी दूर तक हांका कि वह इसकी चरागाह से बाहर निकल जाये इस इस्ना में अगर जानवर हलाक होजाये या उसकी टांग टूट जाये तो यह ज़ामिन नहीं होगा। (आलमगीरी अज़ क़ाज़ी ख़ाँ स.54 जि.6)

मसअ्ला.563:— कोई काश्तकार अपने खेत में रहता था उसने किसी चरवाह से बकरी मांगली ताकि रात में उसके पास रहे और उसका दूध दूह लिया करे। काश्तकार एक रात सो रहा था कि

उसकी बकरी ने पड़ोसी के खेत में जाकर नुक़सान करदिया तो कोई ज़ामिन नहीं होगा।(आलमगीरी)

मसअला.564:– किसी के जानवर ने खेत या बाग़ में घुसकर किसी का कुछ नुक़सान कर दिया खेत वाले ने पकड़कर जानवर को बान्ध दिया और जानवर हलाक होगया तो यह जानवर की क़ीमत का ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.54 जि.6)

मसअला.565:– किसी ने अपना जानवर किसी दूसरे के घर में उसकी इजाज़त के बिग़ैर घुसेड़ दिया और घर वाला उसको बाहर निकाल रहा था कि जानवर हलाक होगया तो ज़ामिन नहीं होगा।(आलमगीरी)

मसअला.566:– किसी ने दूसरे के मकान में उसकी इजाज़त के बिग़ैर कपड़ा रख दिया था मालिक मकान ने कपड़े वाले की अदम मौजूदगी में कपड़ा निकालकर बाहर फेंक दिया और कपड़ा ज़ाइअ् होगया तो यह कपड़े की क़ीमत का ज़ामिन होगा।(आलमगीरी स.54 जि.6)

मसअला.567:– कोई शख़्स अपने गधे पर लकड़ी लादे जा रहा था और बचो, बचो कह रहा था उसके आगे एक शख़्स चल रहा था उसने इस की आवाज़ को नहीं सुना या सुना मगर इसको इतना मौक़ा न मिला कि किसी तरफ़ को बच जाये तो गधे पर लादी हुई लकड़ी से अगर उसका कपड़ा फट जाये तो गधे वाला ज़ामिन है और अगर बच सकता था और सुनने के बावजूद न बचा तो गधे वाला ज़ामिन नहीं है। (आलमगीरी स.54 जि.6, क़ाज़ीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.457 जि.3, बहरुर्राइक़ स.357 जि.8)

मसअला.568:– किसी ने दूसरे के हलाल या हराम जानवर का हाथ या पैर काट दिया तो काटने वाला जानवर की क़ीमत का ज़ामिन है और मालिक को यह हक़ नहीं है कि जानवर को अपने पास रखे और नुक़सान का ज़मान ले ले। (आलमगीरी स.54 जि.6)

मसअला.569:– किसी ने रास्ते पर सांप डालदिया जिस जगह डाला था उसी जगह पर सांप ने किसी को डसलिया तो सांप डालने वाला ज़ामिन होगा और अगर उस जगह से हटकर डसा तो ज़ामिन नहीं होगा। (क़ाज़ीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.455 जि.3, बदाइअ् सनाइअ् स.273 जि.7)

मसअला.570:– रास्ते पर चलते हुए जानवर ने गोबर या पेशाब किया या मुँह से लुआब गिराया या उसका पसीना बहा और किसी को लग गया या किसी की कोई चीज़ गन्दी करदी तो जानवर का सवार ज़ामिन नहीं होगा। (क़ाज़ीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.455 जि.3, बदाइअ् सनाइअ् स.272 जि.7)

मसअला.571:– किसी ने शारेअ् आम पर लकड़ी, पत्थर, या लोहा वग़ैरा कोई चीज़ रखदी वहाँ से कोई शख़्स अपना जानवर हांकते हुए गुज़रा और उन चीज़ों से ठोकर खाकर जानवर हलाक होगया तो रखने वाला ज़ामिन होगा। (क़ाज़ीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.457 जि.3)

मसअला.572:– कोई शख़्स अपना जानवर हांक रहा था और जानवर की पीठ पर लदा हुआ सामान या चार'जामा या ज़ीन या लगाम किसी शख़्स पर गिर पड़ी जिससे वह हलाक होगया तो हांकने वाला ज़ामिन होगा। (शामी व दुर्रेमुख़्तार स.533 जि.5, क़ाज़ीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.456 जि.3)

मसअला.573:– अन्धे को हाथ पकड़कर कोई शख़्स चला रहा था और उस अन्धे ने किसी को कुचलकर हलाक कर दिया तो अन्धा ज़ामिन होगा चलाने वाला ज़ामिन नहीं होगा। (शामी स.535 जि.5)

मसअला.574:– कोई शख़्स अपने गधे पर लकड़ियाँ लादकर लेजा रहा था और हटो, बचो नहीं कह रहा था। यह गधा राहगीरों के पास से गुज़रा और किसी का कपड़ा वग़ैरा फाड़ दिया तो गधे वाला ज़ामिन होगा। और अगर राहगीरों ने गधे को आते देखा था और बचने का मौक़ा भी मिला था मगर न बचे तो गधा वाला ज़ामिन न होगा। (शामी स.535 जि.5)

मसअला.575:– एक शख़्स ने अपना गधा किसी सुतून से बान्ध दिया था फिर दूसरे आदमी ने अपना गधा वहीं बान्ध दिया पहले वाले गधे को दूसरे गधे ने काट खाया तो उन दोनों को अगर इस जगह बान्धने का हक़ हासिल था तो ज़मान नहीं है वरना दूसरे गधे वाला ज़ामिन होगा।

मुतफ़र्रिक़ात

मसअला.1:– दो आदमी रस्सा कशी कर रहे थे कि दरम्यान से रस्सी टूटगई और दोनों गुद्दी के बल गिरकर मरगये तो दोनों का ख़ून रायगाँ जायेगा अगर मुँह के बल गिरकर मरे तो हर एक की दियत दूसरे के आक़िला पर है और अगर एक मुँह के बल गिरकर मरा और दूसरा गुद्दी के बल गिरकर मरा तो गुद्दी के बल गिरने वाले का ख़ून रायगाँ जायेगा और मुँह के बल गिरने वाले

दियत गुद्दी के बल गिरने वाले के आ़क़िला पर है। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.523 जि.5, बहरुर्राइक़ स.360 जि.8)
मसअ्ला.2:– दो आदमी रस्सा कशी कर रहे थे कि किसी शख़्स ने दरम्यान से रस्सी काटदी और दोनों रस्साकश गुद्दी के बल गिरकर मर गये तो दोनों की दियत रस्सी काटने वाले के आ़क़िला पर है। (दुर्रेमुख़्तार स.523 जि.5, बहरुर्राइक़ स.360 जि.8)
मसअ्ला.3:– किसी शख़्स ने किसी के परिन्दे या बकरी या बिल्ली या कुत्ते की एक आँख फोड़दी तो आँख की वजह से क़ीमत के नुक़सान का ज़ामिन आँख फोड़ने वाला होगा। और अगर दोनों आँखें फौड़दीं तो जानवर देकर पूरी क़ीमत वसूल करले। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.535 जि.5)
मसअ्ला.4:– किसी के ऊँट, गाय, गधा, घोड़ा, ख़च्चर, भैंस यानी बार'बर्दारी सवारी और काश्तकारी के जानवर नर या मादा की एक आँख फोड़ने की सूरत में चौथाई क़ीमत का ज़ामिन आँख फोड़ने वाला होगा और दोनों आँखों को फोड़ने की सूरत में मालिक को इख़्तियार है कि चाहे तो जानवर आँख फोड़ने वाले को देकर पूरी क़ीमत वसूल करे और चाहे तो दोनों आँखों के ज़ाइअ् होने की वजह से क़ीमत में जो नुक़सान आया है वह वसूल करले और जानवर अपने पास रखे (दुर्रेमुख़्तार)
मसअ्ला.5:– दो सवार या पैदल चलने वाले आपस में टकराकर मरगये अगर यह हादसा ख़ताअ्न हुआ था तो हर एक के आ़क़िला पर दूसरे की दियत है।(हिदाया फ़त्हुलक़दीर स. 348 जि.8, बहरुर्राइक़ स.359 जि.8)
मसअ्ला.6:– किसी शख़्स ने अपनी मिल्क में शहद की मक्खियों का छत्ता लगाया उन मक्खियों ने दूसरे लोगों के अंगूर या दूसरे फल खालिये तो छत्ता वाला उसका ज़ामिन नहीं होगा और छत्ता वाले को इसपर मजबूर भी नहीं किया जायेगा कि वह छत्ता को वहाँ से हटादे(दुर्रेमुख़्तार व शामी स.537 जि.8)
मसअ्ला.7:– किसी शख़्स ने दूसरे की मिल्क में लम्बी रस्सी से अपने जानवर को बाँध दिया था जानवर ने बन्धे बन्धे कूद फान्दकर किसी का कुछ नुक़सान कर दिया तो बान्धने वाला ज़ामिन होगा। (बहरुर्राइक़ स.357 जि.8, बदाइअ् सनाइअ् 273 जि.7)
मसअ्ला.8:– जनायत बहाइम यह क़ाइदा है कि जब जानवर अपनी जगह और इसी हालत पर रहा जिस पर खड़ा करने वाले ने खड़ा किया था तो मालिक इस के हर नुक़सान का ज़ामिन होगा और जानवर ने वह जगह और हालत बदलली तो मालिक इसके किसी नुक़सान का ज़ामिन नहीं है(बहरुर्राइक़ स.357जि.8)
मसअ्ला.9:– किसी शख़्स ने किसी को दरिन्दे के आगे फेंक दिया और दरिन्दे ने उसको फाड़ खाया तो फेंकने वाले पर दियत नहीं लेकिन उसको तअ्ज़ीर की जायेगी और तौबा करने तक क़ैद में रखा जायेगा। (बहरुर्राइक़ स.362 जि.8, तबईनुलहक़ाइक़ स.153 जि.6)
मसअ्ला.10:– अगर कोई शख़्स किसी आदमी पर सांप वग़ैरा डालदे और वह उसको काट ले तो यह ज़ामिन होगा। (मब्सूत स.5 जि.27)
मसअ्ला.11:– कोई शख़्स किसी के घर में गया इजाज़त से गया हो या बिला इजाज़त और साहिबे ख़ाना के कुत्ते ने उसको काट खाया तो साहिबे ख़ाना ज़ामिन नहीं है(बदाइअ् सनाइअ् 273 जि.7 मब्सूत स.5 जि.27)

बाबुल'क़सामात

मसअ्ला.1:– क़सामत का मतलब यह है कि किसी जगह मक़तूल पाया जाये और क़ातिल का पता न हो और औलिया–ए–मक़तूल अहले मह़ल्ला पर क़त्ले अ़मद या क़त्ले ख़ता का दअ्वा करें और अहले मह़ल्ला इन्कार करें तो इस मह़ल्ले के पचास आदमी क़सम खायें कि न हमने उसको क़त्ल किया है और न हम क़ातिल को जानते हैं और यह क़सम खाने वाले आ़क़िल, बालिग़, आज़ाद मर्द हों। (हिन्दिया स.77 जि.6)

क़सामत वाजिब होने के लिये चन्द शराइत़:–

1–मक़तूल के जिस्म पर ज़ख़्म या ज़र्ब के निशानात या गला घोंटने की अ़लामत पाई जायें या ऐसी जगह से ख़ून बहे जहाँ से आ़दतन नहीं निकलता मस्लन आँख, कान। (क़ाज़ीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.452 जि.3) (फ़त्हुल'क़दीर स. 390 जि.8, बदाइअ् सनाइअ् स.287 जि.7, मब्सूत स.114 जि.26)
2–क़ातिल का पता न हो। (फ़त्हुल'क़दीर स. 390 जि.8, बदाइअ् सनाइअ् स.287 जि.7, मब्सूत स.114 जि.26)
3–मक़तूल इन्सान हो। (बदाइअ् सनाइअ् स.288 जि.7)
4–मक़तूल के औलिया दअ्वा करें। (बदाइअ् सनाइअ् स.289 जि.7)
5–अहले मह़ल्ला क़त्ल करने का इनकार करें। (आलमगीरी स.77 जि.9, शामी स.549 जि.5)
6–मुद्दई क़सामत का मुतालबा करे। (बदाइअ् सनाइअ् स.289 जि.7)

7–जिस जगह मक़तूल पाया गया वह किसी शख़्स की मिल्कियत हो या किसी के कब्जे में हो या महल्ले में पाया जाये या आबादी के इतना क़रीब पाया जाये कि वहाँ की आवाज़ बस्ती में सुनी जा सके। (शामी स.553 जि.5 आलमगीरी स.80 जि.6)

8–मक़तूल ज़मीन के मालिक या काबिज़ का मम्लूक न हो। (हिन्दिया स.77 जि.6, शामी स.549 जि.5)

मसअ्ला.2:– अगर किसी जगह ऐसा मुर्दा पाया जाये कि उसपर ज़र्ब (मार) का निशान न हो या उसके मुँह या नाक या पेशाब व पाखाना के मक़ाम से ख़ून बह रहा हो या उसके गले में सांप लिपटा हुआ हो तो वहाँ के लोगों पर कसामत व दियत कुछ नहीं है। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.551 जि.5)

मसअ्ला.3:– क़सामत का हुक्म यह कि अगर मक़तूल के औलिया ने क़त्ले अ़मद का दअ़्वा किया है और अहले महल्ला ने क़सम खाई कि न उन्होंने क़त्ल किया है न उनको क़ातिल का इल्म है तो अहले महल्ला पर दियत लाज़िम होगी और अगर औलिया–ए–मक़तूल ने क़त्ले ख़ता का दअ़्वा किया है और अहले महल्ला ने क़सम खाली तो अहले महल्ला के आक़िला पर दियत लाज़िम होगी जिसको लोग तीन साल में अदा करेंगे और इनकार की सूरत में उनको क़ैद किया जायेगा हत्ता कि क़सम खायें। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.550 जि.5, फ़त्हुल'क़दीर स.388 जि.8)

मसअ्ला.4:– किसी महल्ला में मक़तूल पाया जाये और उसके औलिया तमाम या बाज़ अहले महल्ला पर दअ़्वा करें कि उन्होंने इसको अ़मदन या ख़ताअ़न क़त्ल किया है और अहले महल्ला इनकार करें तो उनमें से पचास आदमियों से इस तरह क़स्म ली जायेगी कि हर आदमी अल्लाह की क़स्म खाकर यह कहे कि न मैंने उसको क़त्ल किया है न मैं क़ातिल को जानता हूँ अगर वहाँ की आबादी में पचास से ज़्यादा मर्द हैं तो उनमें से पचास के इन्तिख़ाब का हक़ मक़तूल के औलिया को है अगर पचास से कम मर्द हैं तो उनसे क़स्म की तकरार कराकर पचास के अ़दद को पूरा किया जायेगा। (क़ाज़ीख़ाँ अ़लल्हिन्दिया स.451 जि.3, आलमगीरी स.77 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.550 जि.5)

मसअ्ला.5:– मुद्दई से इस बात की क़स्म नहीं ली जायेगी कि अहले महल्ला ने क़त्ल किया है ख़्वाह ज़ाहिरी हालात मुद्दई की ताईद में हों मस्लन मक़तूल और अहले महल्ला की दरम्यान खुली दुश्मनी थी या ज़ाहिरी हालात मुद्दई की ताईद में न हों मस्लन मक़तूल और अहले महल्ला के दरम्यान खुली अ़दावत का कोई सुबूत न हो(आलमगीरी स.77 जि.6 दुर्रेमुख़्तार व शामी स.55 जि.5)

मसअ्ला.6:– अगर औलिया–ए–मक़तूल यह दअ़्वा करें कि अहले महल्ला में से फ़ुलाँ फ़ुलाँ अश्ख़ास ने क़त्ल किया है या बिग़ैर मुअ़य्यन किये यूँ कहें कि अहले महल्ला में से बाज़ लोगों ने क़त्ल किया है जब भी क़सामत व दियत का वही हुक्म है जो ऊपर मज़कूर हुआ।(आलमगीरी स.77 जि.6)

मसअ्ला.7:– अगर वली मक़तूल ने यह दअ़्वा किया कि अहले महल्ला के ग़ैर किसी शख़्स ने क़त्ल किया है तो अहले महल्ला पर क़सामत व दियत कुछ नहीं है बल्कि मुद्दई से गवाह तलब किये जायेंगे अगर गवाह पेश कर दिये तो इस का दअ़्वा साबित होजायेगा और अगर गवाह न हों तो मुद्दआ़'अ़लैहि से एक मरतबा क़सम ली जायेगी। (आलमगीरी स.77 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी 552 जि.8)

मसअ्ला.8:– औलिया–ए–मक़तूल को यह इख़्तियार है कि जिस ख़ानदान के दरम्यान मक़तूल पाया जाये उस ख़ानदान के या जिस महल्ला में पाया जाये तो उस महल्ला के सालेहीन को क़स्म खाने के लिये मुन्तख़ब करें। अगर सालेहीन की तअ़दाद पचास से कम हो तो वह बाक़ी लोगों में से मुन्तख़ब करके पचास पूरे करलें वली को यह भी इख़्तियार है कि वह उन में से जवानों को या फ़ुस्साक़ को क़सम खाने के लिए मुन्तख़ब करलें। यह इख़्तियार सिर्फ़ वली को है इमाम को नहीं है(आलमगीरी स.77 जि.6)

मसअला.9:– क़सामत में बच्चा और पागल और औरत और ग़ुलाम दाख़िल नहीं हैं लेकिन अन्धा और महदूद फ़िल'क़ज़फ़ और काफ़िर क़सामत में दाख़िल हैं।(आलमगीरी स.77 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी 551 जि.8)

मसअ्ला.10:– जिस जगह मक़तूल का पूरा जिस्म या जिस्म का अकसर हिस्सा या निस्फ़ हिस्सा बशर्ते कि उसके साथ सर भी पाया जाये तो उस जगह के लोगों पर क़सामत व दियत है और अगर लम्बाई में से चिरा हुआ निस्फ़ पाया जाये या बदन का निस्फ़ से कम हिस्सा पाया जाये अगर्चे अर्ज़न (चौड़ाई में) हो और उसके साथ सर भी हो या सिर्फ़ हाथ या पैर या सर पाया जाये तो क़सामत व दियत कुछ नहीं है। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स. 549 जि.5, क़ाज़ीख़ाँ अ़लल्हिन्दिया स.453 जि.3)

मसअला.11:– अगर किसी महल्ले में कोई मुर्दा बच्चा ताम्मुल'ख़िलकत (यानी उसके जिस्म के हिस्से मुकम्मल बन चुके हों) या नाकिसुल'ख़िलकत (यानी जिस्म के हिस्से मुकम्मल नहीं बने हों) पाया जाये और उसपर ज़र्ब के कुछ निशानात न हों तो अहले महल्ला पर कुछ नहीं है और अगर ज़र्ब के निशानात हों और बच्चा ताम्मुल'ख़िल्कत हो तो क़सामत व दियत वाजिब है और अगर नाकिसुल'ख़िल्कत हो तो कुछ नहीं है। (आलमगीरी स.78 जि.6 दुर्रेमुख़्तार व शामी स.552 जि.5)

मसअला.12:– अगर किसी के मकान में मक़तूल पाया जाये और साहिबे ख़ाना के आक़िला भी वहाँ मौजूद हों तो क़सामत में सब शरीक होंगे और अगर उसके आक़िला वहाँ मौजूद न हों तो घर वाला ही पचास मरतबा क़सम खायेगा और दियत दोनों सूरतों में आक़िला पर होगी। (आलमगीरी स.78 जि.6)

मसअला.13:– अगर किसी महल्ला में मक़तूल पाया जाये और अहले महल्ला दअ़वा करें कि महल्ला के बाहर के फ़ुलां शख़्स ने इसको क़त्ल किया है और उस महल्ले के बाहर के दो गवाह भी इस पर शहादत दें तो अहले महल्ला क़सामत व दियत से बरी होजायेंगे। वली–ए–मक़तूल ने यह दअ़वा किया हो या न किया हो। (आलमगीरी स.79 जि.6)

मसअला.14:– अगर वली–ए–मक़तूल दअ़वा करे कि जिस महल्ले में मक़तूल पाया गया है और उस महल्ले के बाहर रहने वाले फ़ुलाँ शख़्स ने उसके आदमी को क़त्ल किया है तो वली को अपना दअ़वा गवाहों से साबित करना होगा। वरना मुद्दआ'अलैहि से एक मरतबा क़सम ली जायेगी अगर वह क़सम खाले तो बरीयुज़्ज़िम्मा होजायेगा और अगर क़सम से इन्कार करे और दअ़वा क़त्ले ख़ता का हो तो दियत लाज़िम होगी और अगर दअ़वा क़त्ले अ़मद का था तो क़ैद किया जायेगा यहाँ तक कि क़त्ल का इक़रार करे या क़सम खाये या भूका मरजाये। (दुर्रेमुख़्तार स.522 जि.5)

मसअला.15:– किसी महल्ला या क़बीले में कोई शख़्स ज़ख़्मी किया गया वहाँ से वह ज़ख़्मी हालत में दूसरे महल्ले में मुन्तक़िल किया गया और इसी वजह से साहिबे फ़राश रहकर मरगया तो क़सामत और दियत पहले महल्ले वालों पर है। (आलमगीरी स.79 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.558 जि.5)

मसअला.16:– अगर तीन मुख़्तलिफ़ क़बाइल के लोगों को कोई ख़ित्ता ज़मीन अलार्ट किया गया वहाँ उन्होंने मकानात या मस्जिद बनाई और उस आबादी या मस्जिद में कोई मक़तूल पाया गया तो दियत तीन क़बीलों पर लाज़िम होगी हर क़बीले पर एक तिहाई अगर्चे उनके अफ़राद की तअ़दाद कम व बेश हो यहाँ तक कि अगर किसी क़बीले का सिर्फ़ एक ही शख़्स हो तो उस पर भी एक तिहाई दियत लाज़िम होगी और यह दियत उन सब के आक़िला अदा करेंगे। (आलमगीरी स.69 जि.60)

मसअला.17:– अगर किसी बाज़ार या मस्जिद में कोई मक़तूल पाया जाये और वह मस्जिद व बाज़ार हुकूमत की मिल्क में हैं तो उसकी दियत बैतुल'माल से अदा की जायेगी। (आलमगीरी स.79 जि.6)

मसअला.18:– अगर शारेअ़ आ़म पर या पुल पर मक़तूल पाया जाये तो उसकी दियत बैतुल'माल से अदा की जायेगी। (आलमगीरी स.80 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.556 जि.5, बहरुर्राइक़ स.397 जि.8)

मसअला.19:– मस्जिदे हराम या मैदाने अ़रफ़ात में अज़दहाम (भीड़) के बिग़ैर कोई मक़तूल पाया जाये तो उसकी दियत भी क़सामत के बिग़ैर बैतुल'माल से अदा की जायेगी। (आलमगीरी स.80 जि.6)

मसअला.20:– अगर किसी ऐसी ज़मीन या मकान में मक़तूल पाया जाये जिसको मुअ़य्यन लोगों पर वक़्फ़ किया गया था तो क़सामत व दियत उन्हीं लोगों पर है जिन पर वक़्फ़ किया गया है और अगर मस्जिद पर वक़्फ़ किया गया था तो उसका हुक्म मक़तूल फ़िल'मस्जिद का है।(आलमगीरी स.80 जि.6)

मसअला.21:– अगर किसी ऐसे गाँव में मक़तूल पाया जाये जो ज़िम्मी कुफ़्फ़ार और मुसलमानों की मिल्कियत है तो क़सामत अदा करेंगे और कुफ़्फ़ार पर जितना हिस्सा लाज़िम होगा अगर उनके आक़िला हों तो उनके आक़िला अदा करेंगे वरना उनके माल से वसूल किया जायेगा।(आलमगीरी)

मसअला.22:– अगर दो महल्लों या दो गाँवों के दरम्यान मक़तूल पाया जाये और यहाँ से दोनों जगह आवाज़ पहुँचती हो तो जिस आबादी का फ़ासिला कम होगा उस आबादी के लोगों पर क़सामत व दियत है और अगर किसी जगह आवाज़ नहीं पहुँचती है तो किसी पर कुछ नहीं है।

मसअला.23:– अगर दो बस्तियों के दरम्यान मक़तूल पाया जाये और दोनों जगहों का फ़ासिला वहाँ से बराबर हो और दोनों जगह आवाज़ पहुँचती हो तो दोनों बस्तियों वालों पर दियत

निस्फ़–निस्फ़ होगी अगर्चे उनके अफ़राद की तअदाद मुख़्तलिफ़ हो।(आलमगीरी स80 जि.6)
मसअ्ला.24:– अगर किसी शख़्स के घर में मक़तूल पाया जाये तो उसके आक़िला उस वक़्त दियत अदा करेंगे जब गवाहों से यह साबित कर दिया जाये कि यह घर उसकी मिल्कियत है।(आलमगीरी)
मसअ्ला.25:– अगर किसी शख़्स के घर में मक़तूल पाया जाये और उस घर में मालिक के ग़ुलाम या आज़ाद मुलाज़िम रहते हों तो क़सामत व दियत घर के मालिक पर होगी मुलाज़िमीन या ग़ुलामों पर नहीं। (आलमगीरी स.80 जि.6)
मसअ्ला.26:– मिल्के मुश्तरक में अगर क़तील (मक़तूल) पाया जाये तो सब मालिकों पर दियत बराबर–बराबर लाज़िम होगी जिसको उनके अवाक़िल अदा करेंगे अगर्चे मिल्क में उनके हिस्से कम व बेश हों। (आलमगीरी स.80 जि.6 काज़ीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.452 जि.3)
मसअ्ला.27:– अगर किसी ऐसे शख़्स के घर में मक़तूल पाया जाये जिसकी शहादत मक़तूल के हक़ में मक़बूल नहीं होती है या औरत अपने शौहर के घर में मक़तूल पाई जाये तो उन सूरतों में भी क़सामत व दियत लाज़िम होगी और मालिक मकान मीरास से महरूम नहीं होगा(बहरुर्राइक स.394 जि.8)
मसअ्ला.28:– अगर किसी ऐसी औरत के घर में मक़तूल पाया जाये जो ऐसे शहर में रहती है कि वहाँ उसका कोई रिश्तेदार नहीं रहता तो उस औरत से पचास मरतबा क़सम ली जायेगी उसके बाद उसके क़रीब तरीन रिश्तेदोरों पर दियत लाज़िम होगी अगर उस के रिश्तेदार भी उस शहर में रहते हैं तो वह भी औरत के साथ क़सामत में शरीक होंगे। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.559 जि.5)
मसअ्ला.29:– अगर किसी बच्चे या पागल के घर में मक़तूल पाया जाये तो बच्चे और पागल से क़सम नहीं ली जायेगी बल्कि उनके आक़िला से क़स्म भी ली जायेगी और दियत भी ली जायेगी।
मसअ्ला.30:– अगर यतीमों के घर में मक़तूल पाया जाये या उनके महल्ले में पाया जाये तो उन यतीमों में जो बालिग़ है उस से क़सम ली जायेगी और दियत सब के आक़िला पर होगी और अगर उन में से कोई बालिग नहीं तो क़सामत व दियत दोनों सब के आक़िला पर वाजिब हैं।(मब्सूत स.121 जि.26)
मसअ्ला.31:– अगर किसी ज़िम्मी के घर में मक़तूल पाया जाये तो उनसे पचास मरतबा क़सम ली जायेगी उसके बाद अगर उन ज़िम्मियों में यह रिवाज है कि दियत उनके आक़िला अदा करते हैं तो उनके आक़िला से दियत वुसूल की जायेगी वरना उसके माल से अदा की जायेगी।(आलमगीरी)
मसअ्ला.32:– (अ)अगर किसी क़ौम की ममलूका छोटी नहर में मक़तूल पाया जाये तो उस नहर के मालिकों पर क़सामत और उनके आक़िला पर दियत वाजिब है। (आलमगीरी अज ज़ख़ीरा स.82 जि.6)
मसअ्ला.32:– (ब)अगर किसी बड़ी बहती हुई नहर में मक़तूल बहता हुआ पाया जाये और वह नहर दारुल इस्लाम से निकली है तो बैतुल माल से दियत अदा की जायेगी और अगर वह नहर दारुलहर्ब से निकली है तो उसका ख़ून रायगाँ जायेगा। और अगर लाश नहर के किनारे पर अटकी हुई है और उस किनारे के इतनी क़रीब कोई आबादी है जहाँ तक उस जगह की आवाज़ पहुँच सकती है तो उस आबादी वालों पर दियत वाजिब होगी और अगर वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच सकती तो बैतुल माल से दियत अदा की जायेगी।(आलमगीरी)
मसअ्ला.33:– अगर किसी बड़ी कश्ती में मक़तूल पाया जाये तो उस कश्ती के सवारों पर क़सामत व दियत है जिसमें मल्लाह, मुसाफिर और अगर उस में मालिक भी हो तो वह भी दाख़िल है और छगड़े (दो पहियों की गाड़ी जिस में बैल जोते जाते हैं) का हुक्म भी यही है। (आलमगीरी स.83 जि.6)
मसअ्ला.34:– अगर किसी जानवर की पीठ पर मक़तूल पाया जाये और उस जानवर का कोई साइक़ (हांकने वाला) या क़ाइद (आगे से जानवर चलाने वाला) या उस पर कोई सवार है तो दियत उसी पर है और अगर साइक़ व क़ाइद व राकिब तीनों हैं तो तीनों पर बराबर–बराबर दियत वाजिब होगी और अगर जानवर अकेला है तो क़सामत व दियत इस महल्ले के लोगों पर है जहाँ उस जानवर पर मक़तूल पाया गया है। (आलमगीरी स.82 जि.6)
मसअ्ला.35:– अगर दो आबादियों के दरम्यान किसी जानवर पर मक़तूल पाया जाये और जानवर अकेला हो तो जिस बस्ती तक आवाज़ पहुँच सकती हो उसके रहने वालों पर और अगर दोनों जगह आवाज़ पहुँचती हो तो दोनों बस्तियों में क़रीब वाली के बाशिन्दों पर क़सामत व दियत वाजिब

होगी। (आलमगीरी स.82 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.553 जि.5)

मसअ्ला.36:– अगर किसी की उफ़तादा ज़मीन में मक़तूल पाया जाये तो ज़मीन के मालिक और उसके क़बीले वालों पर क़सामत व दियत है और अगर वह ज़मीन किसी की मिल्कियत नहीं है और उसके इतने क़रीब कोई आबादी है जिसमें वहाँ की आवाज़ सुनी जा सकती है तो उस आबादी वालों पर क़सामत व दियत वाजिब होगी और अगर उसके क़रीब कोई आबादी नहीं है या आबादी इस क़द्र दूर है वहाँ की आवाज़ उस अबादी तक नहीं पहुँचती है तो अगर उस ज़मीन से मुसलमान कोई फ़ायदा उठाते हैं मस्लन वहाँ से लकड़ी या घास काटते हैं या वहाँ जानवर चराते हैं तो बैतुल माल से दियत अदा की जायेगी और अगर वह ज़मीन इन्तिफ़ाअ् (फ़ायदा उठाने के लायक़) के क़ाबिल ही नहीं है तो मक़तूल का ख़ून रायगाँ जायेगा।(दुर्रेमुख़्तार व शामी स.554 जि.5, बहरुर्राइक़ स.282 जि.8)

मसअ्ला.37:– अगर किसी पुल पर मक़तूल पाया जाये तो उस की दियत बैतुल माल से अदा की जायेगी और अगर शहर के इर्द गिर्द की ख़न्दक़ में मक़तूल पाया जाये तो उसका हुक्म शारेअ् आम पर पाये जाने वाले मक़तूल का सा है।(आलमगीरी अज़ मुहीत सर्ख़सी स.82 जि.6)

मसअ्ला.38:– मुसलमान लश्कर किसी मुबाह ज़मीन में जो किसी शख़्स की मिल्कियत न थी पड़ाव डाले हुए था उनमें से किसी लश्करी के ख़ेमे में मक़तूल पाया जाये तो उस ख़ेमे वालों पर दियत व क़सामत है और अगर ख़ेमे में बाहर पाया जाये तो लश्करियों के क़बाइल अलग अलग ठहरे हों तो जिस क़बीले में पाया जायेगा उस क़बीले पर दियत व क़सामत है और अगर दो क़बीलों के दरम्यान पाया जाये तो क़रीब वाले क़बीले पर क़सामत व दियत है और अगर दोनों का फ़ासिला बराबर हो तो दोनों पर क़सामत व दियत है।(आलमगीरी स.82 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.560 जि.5)

मसअ्ला.39:– अगर लश्करियों के क़बीले मिले जुले ठहरे हों और मक़तूल किसी के ख़ेमे में पाया गया तो सिर्फ़ उस ख़ेमे वालों पर ही क़सामत व दियत वाजिब होगी और ख़ेमें से बाहर पाया जाये तो सब लश्कर पर क़सामत व दियत वाजिब होगी।(दुर्रेमुख़्तार व शामी स.561 जि.5, बहरुर्राइक़ स.394 जि.8)

मसअ्ला.40:– मुसलमानों का लश्कर किसी की मम्लूका ज़मीन में पड़ाव डाले हुए था तो हर सूरत में ज़मीन के मालिक पर क़सामत व दियत वाजिब है। (आलमगीरी अज़ मुहीत स.82 जि.6)

मसअ्ला.41:– अगर मुसलमान लश्कर का काफ़िरों से मुक़ाबला हुआ फिर वहाँ कोई मुसलमान मक़तूल पाया गया तो किसी पर क़सामत व दियत नहीं और अगर दो मुसलमान गिरोहों में मुक़ाबला हुआ और उनमें से एक गिरोह बाग़ी और दूसरा हक़ पर था और जो मक़तूल पाया गया वह अहले हक़ की जमाअ़त का था तो किसी पर कुछ नहीं। (आलमगीरी अज़ मुहीत स.82 जि.6)

मसअ्ला.42:– अगर किसी मुक़फ़्फ़ल मकान में मक़तूल पाया जाये तो घर के मालिक पर क़सामत व दियत है। (आलमगीरी अज़ मुहीत स.82 जि.6, शामी स.555 जि.5, बहरुरांइक़ स.395 जि.8)

मसअ्ला.43:– अगर कोई शख़्स अपने बाप या माँ के घर में मक़तूल पाया जाये या बीवी शौहर के घर में मक़तूल पाई जाये तो इस में क़सामत है और दियत आक़िला पर है मगर मालिक मकान मीरास से महरूम नहीं होगा। (काज़ीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.453 जि.3)

मसअ्ला.44:– अगर किसी वीरान महल्ले में जिस में कोई शख़्स नहीं रहता है मक़तूल पाया जाये तो उसके इतने क़रीब की आबादी पर क़सामत व दियत वाजिब है जहाँ तक वहाँ की आवाज़ पहुँचती हो। (बहरुर्राइक़ स.394 जि.8)

मसअ्ला.45:– अगर किसी जगह दो गिरोहों में अ़सबियत की वजह से तलवार चली फिर उन लोगों के मुतफ़र्रिक़ होजाने के बाद वहाँ कोई मक़तूल पाया गया तो अहले महल्ला पर क़सामत व दियत है मगर जब वली मक़तूल उन मुताहारेबीन पर या उन में से किसी मुअय्यन शख़्स पर क़त्ल का दअ़्वा करे तो अहले महल्ला बरी होजायेंगे और मुतहारेबीन के ख़िलाफ़ ग़ैर अहले महल्ला में से दो गवाह अगर इस बात की गवाही दें कि मुद्दआ़ अ़लैहिम ने क़त्ल किया है तो क़िसास या दियत वाजिब होगी वरना वह भी बरी होजायेंगे। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.558 जि.5, बहरुर्राइक़ स.395 जि.8)

मसअ्ला.46:– अगर किसी का जानवर किसी जगह मुर्दा पाया जाये तो इस में कुछ नहीं है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.47:– अगर जेलख़ाने में कोई मक़तूल पाया जाये तो उसकी दियत बैतुल माल से अदा की

जायेगी। (हिदाया स.625 जि.4 काज़ीख़ाँ अलहिन्दिया स.452 जि.3)

मुतफ़र्रिक़ात

मसअला.1:– अगर किसी शख़्स को अमदन ज़ख़्मी किया गया उसने दो आदमियों को गवाह बनाकर यह कहा कि फुलां शख़्स ने मुझे ज़ख़्मी नहीं किया है उसके बाद वह मरगया तो इस में अगर क़ाज़ी और आम लोगों को यह माअ्लूम है कि उसी शख़्स ने ज़ख़्मी नहीं किया है तो उन गवाहों की शहादत मक़बूल नहीं है और अगर किसी को यह मालूम न हो कि उस शख़्स ने ज़ख़्मी किया है तो यह शहादत सहीह है और अगर औलियाए मक़तूल गवाहों से इसी शख़्स के ज़ख़्मी करने का सुबूत फ़राहम करदें तो यह भी क़बूल नहीं किया जायेगा। (आलमगीरी स.87 जि.6)

मसअला.2:– अगर किसी ज़ख़्मी ने यह इक़रार किया कि फुलाँ शख़्स ने मुझे ज़ख़्मी किया है फिर वह मर गया और औलिया ने गवाहों से किसी दूसरे को ज़ख़्मी करने वाला साबित किया तो यह गवाही मक़बूल नहीं होगी। (आलमगीरी स.87जि.6)

मसअला.3:– अगर किसी ज़ख़्मी ने यह इक़रार किया कि फुलाँ ने मुझे ज़ख़्मी किया है फिर मरगया फिर मक़तूल के एक लड़के ने इस बात पर गवाह पेश किये कि मक़तूल के दूसरे लड़के ने इस को ख़ताअ्न ज़ख़्मी किया था तो यह शहादत मक़बूल होगी। (आलमगीरी स. 87 जि.6)

मसअला.4:– अगर कोई सवारी किसी राहगीर से पीछे की तरफ़ आकर टकराये और सवार मरगया तो राहगीर पर इसका ज़मान नहीं है और राहगीर मरगया तो सवार पर इसका ज़मान है कश्तियों की टक्कर की सूरत में भी यही हुक्म है। (क़ाज़ीख़ाँ अलहिन्दिया स.444 जि.3 आलमगीरी स.88 जि.6)

मसअला.5:– अगर दो जानवर आपस में टकरा गये और एक मरगया और दोनों के साथ उनके साइक़ थे तो दूसरे पर ज़मान वाजिब है। (क़ाज़ीख़ाँ अलहिन्दिया स.444 जि.3)

मसअला.6:– अगर दो ऐसे सवार आपस में टकरा गये कि एक ठहरा हुआ था और दूसरा चल रहा था और इसी तरह दो आदमी आपस में टकरा गये कि एक चल रहा था और दूसरा खड़ा हुआ था और ठहरे हुए को कुछ सदमा पहुँचा तो इस का तावान चलने वाले पर वाजिब होगा।(आलमगीरी स.88जि.6)

मसअला.7:– कोई शख़्स रास्ते में सो रहा था कि एक राहगीर ने उसको कुचल दिया और दोनों की एक एक उंगली टूट गई तो चलने वाले पर तावान है सोने वाले पर कुछ नहीं है और अगर उन में से कोई मरजाये इस हाल में कि एक दूसरे के वारिस हों तो सोने वाला चलने वाले का तर्का पाये मगर चलने वाला सोने वाले का तर्का नहीं पायेगा। (क़ाज़ीख़ाँ अलहिन्दिया स.444 जि.3)

मसअला.8:– दो शख़्स किसी दरख़्त को खींच रहे थे कि वह उन पर गिर पड़ा जिस से वह दोनों मरगये हर एक के आक़िला पर दूसरे की निस्फ़ दियत है और अगर उन में से कोई एक मरगया तो दूसरे के आक़िला पर निस्फ़ दियत है। (क़ाज़ीख़ाँ अलहिन्दिया स.444 जि.3 आलमगीरी स.90 जि.6)

मसअला.9:– अगर किसी ने किसी का हाथ पकड़ा और उसने अपना हाथ खींचा और हाथ खींचने वाला गिरकर मर गया तो अगर पकड़ने वाले ने मुसाफ़ा करने के लिये पकड़ा था तो कोई ज़मान नहीं है और अगर उस के मोड़ने और ईज़ा देने के लिये पकड़ा था तो पकड़ने वाला इस की दियत का ज़ामिन है और अगर पकड़ने वाले का हाथ टूट गया तो हाथ खींचने वाला ज़ामिन नहीं है(आलमगीरी)

मसअला.10:– एक शख़्स ने दूसरे को पकड़ा और तीसरे शख़्स ने पकड़े हुए आदमी को क़त्ल कर दिया तो क़ातिल से क़िसास लिया जायेगा और पकड़ने वाले को क़ैद की सजा दी जायेगी।(आलमगीरी)

मसअला.11:– किसी ने दूसरे को पकड़ा और तीसरे ने आकर पकड़े हुए का माल छीन लिया तो छीनने वाला ज़ामिन है पकड़ने वाला ज़ामिन नहीं(आलमगीरी स.88 जि.6)

मसअला.12:– कोई शख़्स किसी के कपड़े पर बैठ गया कपड़े वाले को इल्म न था वह खड़ा हो गया जिसकी वजह से कपड़ा फट गया तो बैठने वाला कपड़े की निस्फ़ क़ीमत का ज़ामिन होगा(आलम)

मसअला.13:– अगर किसी ने अपने घर में लोगों को दअ्वत दी और उन लोगों के चलने या बैठने से फ़र्श या तकिया फट गया तो यह ज़ामिन नहीं हैं और अगर किसी बर्तन को उनमें से किसी ने कुचल दिया या ऐसे कपड़े को जो बिछाया नहीं जाता है कुचल कर ख़राब कर दिया तो ज़ामिन होंगे और अगर उनके हाथ से गिरकर कोई बर्तन टूट गया तो ज़ामिन नहीं हैं और अगर मेहमानों

से किसी की तलवार लटकी हुई थी और इससे फ़र्श फट गया तो ज़ामिन नहीं।(आलमगीरी स.88 जि.7)

मसअला.14:– अगर साहिबे ख़ाना ने मेहमानों को बिस्तर पर बैठने की इजाज़त दी और वह बैठ गये बिस्तर के नीचे साहिबे ख़ाना का छोटा बच्चा लेटा हुआ था उनके बैठने से वह कुचलकर मर गया तो मेहमान उस की दियत का ज़ामिन है इसी तरह अगर बिस्तर के नीचे शीशे वग़ैरा के बर्तन थे वह टूट गये तो मेहमान को तावान देना होगा। (आलमगीरी अज़ ज़ख़ीरा स.88 जि.6)

मसअला.15:– अगर किसी ने किसी सोये हुए आदमी की फ़स्द खोलदी जिस से इतना ख़ून बहा कि सोने वाला मरगया तो फ़स्द खोलने वाले पर क़िसास वाजिब है। (आलमगीरी अज कुन्निया स.88 जि.6)

मसअला.16:– अगर किसी ने यह कहा कि मैंने फुलाँ शख़्स को क़त्ल किया है लेकिन अमदन या ख़ताअन कुछ नहीं कहा तो उसके अपने माल से दियत अदा की जायेगी। (आलमगीरी स.88 जि.6)

मसअला.17:– अगर किसी ने किसी को हाथ या पैर से मारा और वह मरगया तो यह शुब्ह अमद कहलायेगा और अगर तम्बीह के लिये किसी ऐसी चीज़ से मारा था जिस से मरने का अन्देशा नहीं था मगर मरगया तो क़त्ले ख़ता कहलायेगा और अगर मारने में मुबालग़ा किया था तो यह भी शुब्ह कहलायेगा। (आलमगीरी अज मुहीत स.88 जि.6)

मसअला.18:– अगर किसी ने किसी को तलवार मारने का इरादा किया जिसको मारना चाहता था उसने तलवार हाथ से पकड़ली तलवार वाले ने तलवार खींची जिस से पकड़ने वाले की उंगलियाँ कट गई तो अगर जोड़ से कट गई हैं तो क़िसास लिया जायेगा और अगर जोड़ के इलावा किसी जगह से कटी हैं तो दियत लाज़िम होगी। (आलमगीरी अज़ ज़ख़ीरा स.89 जि.6)

मसअला.19:– अगर किसी के दांत में दर्द हो और वह दांत मुअय्यन करके डाक्टर से कहे कि इस दांत को उखेड़दो और डाक्टर दूसरा दांत उखेड़दे फिर दोनों में इख़्तिलाफ़ होजाये तो मरीज़ का क़ौल हल्फ़ (क़सम) के साथ मोअतबर होगा और डाक्टर के माल में दियत लाज़िम होगी।(आलमगीरी स.89 जि.6)

मसअला.20:– अगर दो आदमी किसी तीसरे का दांत ख़ताअन तोड़दें तो दोनों के माल से दियत अदा की जायेगी। (आलमगीरी अज़ कुन्निया स.86 जि.6)

मसअला.21:– अगर किसी ने हस्बे मअमूल अपने घर में आग जलाई इत्तिफ़ाक़न इससे उसका और उसके पड़ोसी का घर जल गया तो यह ज़ामिन नहीं होगा।(आलमगीरी अज़ फ़ुसूले इमादिया स.89 जि.6)

मसअला.22:– अगर किसी ने अपने घर के तन्नूर में गुन्जाइश से ज़्यादा लकड़ियाँ जलाईं जिस से उसका और उसके पड़ोसी का घर जल गया तो यह ज़ामिन होगा। (आलमगीरी अज़ मुहीत स.89 जि.6)

मसअला.23:– अगर किसी ने अपने लड़के को अपनी ज़मीन में आग जलाने का हुक्म दिया लड़के ने आग जलाई जिस से चिंगारियाँ उड़कर पड़ोसी की ज़मीन में गईं जिस से उसका कोई नुक़सान होगया तो बाप ज़ामिन होगा। (आलमगीरी अज़ कुन्निया स.89 जि.6)

मसअला.24:– अगर किसी समझदार बच्चे ने किसी की बकरी पर कुत्ता दौड़ा दिया जिस से बकरी भाग गई और ग़ाइब होगई तो यह बच्चा ज़ामिन नहीं होगा। (आलमगीरी अज़ कुन्निया स.90 जि.6)

मसअला.25:– किसी ने अपने जानवर को देखा कि दूसरे का ग़ल्ला खा रहा था और उसको ग़ल्ला खाने से नहीं रोका तो नुक़सान का ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.90 जि.6)

मसअला.26:– किसी का जानवर दूसरे के खेत में घुसकर नुक़सान कर रहा हो तो अगर जानवर के मालिक के खेत में जानवर को निकालने के लिये घुसने से भी नुक़सान होता है मगर जानवर को न निकाला जाये तो ज़्यादा नुक़सान का ख़तरा है तो घुसकर जानवर को निकालना वाजिब है और उसके खेत में घुसने से जो नुक़सान होगा उसका ज़ामिन भी यही होगा और अगर जानवर किसी दूसरे का हो तो उसका निकालना वाजिब नहीं फिर भी अगर निकाल रहा था कि जानवर हलाक होगया तो जानवर की क़ीमत का यह ज़ामिन नहीं होगा। (आलमगीरी स.90 जि.6)

मसअला.27:– अगर किसी के ख़ुस्यतैन पर किसी ने चोट मारी जिस से एक या दोनों ख़ुस्यतैन ज़ख़्मी होगये तो हुकूमते अद्ल है। (आलमगीरी अज कुन्निया स.90 जि.6)

मसअला.28:– अगर किसी ने किसी का मवेशी ख़ाना ग़सब करके उस में अपने जानवर बान्धे फिर उसके मालिक ने जानवरों को निकाल दिया तो अगर कोई जानवर गुम होगया तो मवेशी ख़ाने का

मालिक ज़ामिन होगा। (आलमगीरी अज़ जामेअ़ सग़ीर स.90 जि.6)

मसअ्ला.29:– अगर किसी बड़ी बहती हुई नहर में मक़तूल बहता हुआ पाया जाये और वह नहर दारुल इस्लाम से निकली है तो बैतुल माल से दियत अदा की जायेगी और अगर वह नहर दारुलहर्ब से निकली है तो उसका ख़ून रायगाँ जायेगा और लाश नहर के किनारे पर अटकी हुई है और उस किनारे के इतने क़रीब कोई आबादी है जहाँ तक इस जगह की आवाज़ पहुँच सकती है तो उस आबादी वालों पर दियत वाजिब होगी और अगर वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच सकती तो बैतुल माल से दियत अदा की जायेगी। (आलमगीरी अज ज़खीरा स.82 जि.6 दुर्रेमुख़्तार व शामी स.557 जि.5)

मसअ्ला.30:– अगर किसी ने जानवर का हाथ या पैर काटकर उसे हलाक करदिया या ज़बह करदिया तो मालिक को इख़्तियार है कि चाहे तो यह हलाक शुदा जानवर हलाक करने वाले को देदे और उससे क़ीमत वसूल करले या उस जानवर को अपने पास रखले और नुक़सान वसूल करे। [illegible]

आ़क़िला का बयान

मसअ्ला.1:– आ़क़िला वह लोग कहलाते हैं जो क़त्ले ख़ता या शुब्हे अ़मद में ऐसे क़ातिल की तरफ़ से दियत अदा करते हैं जो उनके मुतअ़ल्लिक़ीन में से हैं और यह दियत इसा़लतन वाजिब हुई हो और अगर वह दियत इसा़लतन वाजिब न हुई हो मस्लन क़त्ले अ़मद में क़ातिल ने औलियाए मक़तूल से माल पर सुलह करली हो तो क़ातिल के माल से अदा की जायेगी और अगर बाप ने अपने बेटे को अ़मदन क़त्ल करदिया हो तो गोया इसा़लतन क़िसा़स वाजिब होना चाहिए था मगर शुब्ह की वजह से क़िसा़स के बजाए दियत वाजिब होगी जो बाप के माल से अदा की जायेगी मज़कूरा बाला दोनों सूरतों में आ़क़िला पर दियत वाजिब न होगी(आ़लमगीरी स.83 जि.6)

मसअ्ला.2:– हुकूमत के मुख़्तलिफ़ महकमों के मुलाज़िमीन और ऐसी जमाअ़तें जिनको हुकूमत बैतुल माल से सालाना, माहाना वज़ीफ़ा देती है या हम पेशा जमाअ़तें एक शहर या एक क़स्बा या एक गाँव या एक मुहल्ले के लोग या एक बाज़ार के ताजिर जिन में यह मुआ़हिदा या रिवाज हो कि अगर उनके किसी फ़र्द पर कोई उफ़ताद(मुसीबत)पड़े तो सब मिलकर उसकी इआ़नत व मदद करते हैं तो वही फ़रीक़ इस क़ातिल का आ़क़िला होगा जिसका यह फ़र्द है और अगर उनमें इस क़िस्म का रिवाज नहीं है तो क़ातिल के आबाई रिश्तादार इसके आ़क़िला कहलायेंगे जिन में अलअक़रब फ़लअक़रब का उसूल जारी होगा और दियत की अदायगी में क़ातिल भी आ़क़िला के साथ शरीक होगा लेकिन इस ज़माने में चूंकि इस क़िस्म का रिवाज नहीं है और बैतुल माल का निज़ाम भी नहीं है लिहाज़ा आज कल आ़क़िला सिर्फ़ क़ातिल के आबाई रिश्तेदार होंगे और अगर किसी शख़्स के आबाई रिश्तेदार भी न हों तो क़ातिल के माल से तीन साल में दियत अदा की जायेगी(आलमगीरी स.83 जि.6)

फ़ायदा:– आज कल कारख़ानों और मुख़्तलिफ़ इदारों में मुलाज़िमीन और मज़दूरों की यूनियन बनी हुई हैं जिनके मक़ासिद में भी यह शामिल है कि किसी मिम्बर पर कोई उफ़ताद (मुसीबत) पड़े तो यूनियन उसकी मदद करती है लिहाज़ा किसी यूनियन के मिम्बर के आ़क़िला के क़ाइम मक़ाम इसी यूनियन को माना जायेगा जिसका यह मिम्बर है।

وَالحمد لله على الائه والصلوة والسلام علىٰ افضل انبيائه و علىٰ اله و صحبه و اوليائه و علينا معهم يا ارحم الراحمين

و اخردعوانا ان الحمد لله رب العلمين.

हिन्दी अनुवाद

मुहम्मद अमीनुलक़ादरी बरेलवी

मो0:– 09219132423

बहारे शरीअत

11 से 20

मुसन्निफ

सदरुश्शरीआ मौलाना अमजद अली आज़मी रज़वी अलैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा

मौलाना मुहम्मद अमीनुल कादरी बरेलवी

नाशिर

कादरी दारुल इशाअत

[illegible] मीनार मस्जिद

[illegible] नगर, पुराना शहर बरेली

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ
(اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا)

किताब को पढ़ने से पहले
इस किताब को स्कैन करने वाले
और इस काम मे हिस्सा लेने वालो के हक़ में

दुआ फरमाएं

अल्लाह अज़्ज़वजल हमारे तमाम
सगीरा व क़बीरा गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाये
और ईमान पर इस्तेक़ामत अता फ़रमाये!

आमीन

बहारे शरीअ़त

उन्नीसवां हिस़्सा

मुस़न्निफ़

सदरूश्शरीआ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा

मौलाना मुह़म्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर

क़ादरी दारूल इशाअ़त

मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली—53

Mob:—9219132423

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و العاقبة للمتقين و الصلوة و السلام على سيدنا و مولانا محمد سيد المرسلين و على اله و اصحابه اجمعين

वसियत का बयान

वसियत करना कुर्आन मजीद और अहादीसे नबविया अला साहिबिहस्सलातु वसल्लामु से साबित है रब तबारक व तआला कुर्आन करीम में इरशाद फरमाता है।

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

तर्जमा इस का यह है– "अल्लाह तुम्हे हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के बारे में बेटे का हिस्सा दो बेटियों के बराबर है फिर अगर सिर्फ लडकियाँ हो अगर्चे दो से ऊपर तो उनको तर्का की दो तिहाई और अगर एक लड़की हो तो उसके लिये आधा और मय्यित के माँ बाप को हर एक को उसके तर्के से छठा हिस्सा अगर मय्यित के औलाद हो। फिर अगर उसकी औलाद न हो और माँ बाप छोड़े तो माँ का तिहाई हिस्सा। फिर अगर उसके कई बहन, भाई हों तो माँ का छठा हिस्सा बाद इस वसियत के जो कर गया और बाद दैन के, तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे तुम क्या जानो कि उनमें कौन तुम्हारे ज्यादा काम आयेगा यह हिस्सा बाँधा हुआ है अल्लाह की तरफ से बेशक अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला है"।

कुर्आन मजीद के चौथे पारे में सूराए निसाअ् के इस दूसरे रुकुअ् में अल्लाह तआला ने वसियत का ज़िक्र चार मरतबा फ़रमाया जिस में तक़सीमे विरासत को अदायगी वसियत और अदायगी कर्ज़ के बाद रखा उसी रुकुअ् की आख़िरी आयात से कुछ पहले फ़रमाया

﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

"मय्यित की वसियत और दैन निकाल कर जिस में उस ने नुकसान न पहुँचाया हो यह अल्लाह का इरशाद है और अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला है"।

और फ़रमाता है

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾

यानी "ऐ ! ईमान वालों तुम्हारी आपस की गवाही जब तुम में किसी को मौत आये वसियत करते वक्त तुम में दो मोअ्तबर शख्स है या गैरो में के दो जब तुम मुल्क में सफर को जाओ फिर तुम्हे मौत का हादसा पहुँचे"।

अहादीसे वसियत

हदीस् (1) हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 'किसी मुसलमान के लिये यह मुनासिब नहीं कि उसके पास वसियत के काबिल कोई शय हो और वह बिला ताख़ीर इस में अपनी वसियत तहरीर न कर दे'। (मिश्कात बाबुल'वसाया स.265)

हदीस् (2) सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम सअ्द इब्ने अबी वक्क़ास रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी वह फ़रमाते हैं कि मैं फ़तहे मक्का के साल इस क़द्र बीमार हुआ कि मौत के क़रीब होगया तो मेरे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एयादत फ़रमाने के लिये तशरीफ लाये मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे पास कसीर माल है और मेरी बेटी के सिवा कोई वारिस् नहीं (असहाबे फराइज में से) तो क्या मैं अपने कुल माल की वसियत करदूँ आप ने जवाब इरशाद फ़रमाया नहीं मैंने अर्ज़ किया तो क्या दो सुलुस् की वसियत कर दूँ आप ने फ़रमाया नहीं मैंने अर्ज़ किया तो क्या आधे माल की, आप ने फ़रमाया नहीं मैंने अर्ज़ किया कि क्या तिहाई माल की वसियत कर दूँ, आप ने फ़रमाया तिहाई माल और तिहाई माल बहुत है तेरा अपने

वुरसा को ग़नी छोड़ना इस से बेहतर है कि उन्हें मोहताज छोड़े कि वह लोगों के सामने हाथ फैलायें और बिला शुब्ह तू अल्लाह की राह में अल्लाह की रज़ाजोई के लिये कुछ ख़र्च नहीं करेगा मगर यह कि तुझे इस का अज्र दिया जायेगा यहाँ तक कि वह लुक़मा जो तू अपनी बीवी के मुँह में उठाकर रखे। (मुत्तफ़क़ अ़लैह मिश्कात बाबुल'वसाया स.265)

हदीस् (3) इमाम तिर्मिज़ी ने हज़रत सअ्द बिन अबी वक़्क़ास रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया उन्होंने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम मेरी बीमारी में एयादत के लिये तशरीफ़ लाये आपने फ़रमाया कि "क्या तुमने वसियत करदी" मैंने अर्ज़ किया जी हाँ, आपने फ़रमाया "कितने माल की वसियत की" मैंने अर्ज़ किया राहे ख़ुदा में अपने कुल माल की, आपने फ़रमाया "अपनी औलाद के लिये क्या छोड़ा" मैंने अर्ज़ किया वह लोग अग़निया यानी साहिबे माल हैं आपने फ़रमाया "दसवें हिस्से की वसियत करो" तो मैं बराबर कम करता रहा यहाँ तक कि आपने फ़रमाया सुलुस् माल की वसियत करो और सुलुस् माल बहुत है। (मिश्कात स.265)

हदीस् (4) अबूदाऊद और इब्ने माजा हज़रत अबूउमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी उन्होंने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम को हज्जतुलविदा के साल अपने ख़ुतबे में इरशाद फ़रमाते सुना कि बेशक अल्लाह तआला ने हर हक़ वाले को उसका हक़ अ़ता फ़रमादिया पस वारिस् के लिये कोई वसियत नहीं।(मिश्कात स.265) तिर्मिज़ी की रिवायत में यह अलफ़ाज़ मज़ीद हैं कि बच्चा औरत का है और ज़ानी के लिये संगसारी और उनका हिसाब अल्लाह पर है दारे क़ुतनी की रिवायत में है आपने फ़रमाया वारिस् के लिये कोई वसियत नहीं मगर यह कि वुरसा चाहें। (मिश्कात स.265)

हदीस् (5) इमाम तिर्मिज़ी अबूदाऊद इब्ने माजा और इमाम अहमद ने हज़रत अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत बयान की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि "मर्द व औरत अल्लाह जल्ल जलालुहु की इताअत व फ़रमांबरदारी साठ साल (लम्बे ज़माने) तक करते रहें फिर उनका वक़्ते मौत क़रीब आजाये और वसियत में ज़रर पहुँचायें तो उनके लिये दोज़ख़ की आग वाजिब होती है," फिर हज़रत अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु ने आयत مِنْ م بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْدَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ से وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ तक तिलावत फ़रमाई। (मिश्कात स.265)

हदीस् (6) इब्ने माजा हज़रत जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया जिसकी मौत वसियत पर हो (यानी जो वसियत करने के बाद इन्तिक़ाल करे) वह अ़ज़ीम सुन्नत पर मरा और उसकी मौत तक़वा और शहादत पर हुई और इस हालत में मरा कि उसकी मग़फ़िरत होगई। (मिश्कात बाबुल'वसाया स.266)

हदीस् (7) अबूदाऊद हज़रत अम्र बिन शुऐब से रिवायत करते हैं वह अपने बाप शुऐब से और शुऐब अपने बाप अम्र बिनिल'आस रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत बयान करते हैं कि आस इब्ने वाइल ने वसियत की कि उसकी जानिब से सौ ग़ुलाम आज़ाद किये जायें तो उसके बेटे हिश्शाम ने पचास ग़ुलाम आज़ाद किये फिर उसके बेटे अम्र ने चाहा कि उसकी जानिब से बक़ाया पचास ग़ुलाम आज़ाद करदे पस उसने (अपने भाई या साथियों या अपने दिल में) कहा कि रसूलुल्लाहु सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम से दरयाफ़्त करलूँ पस वह आये नबी सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम मेरे बाप ने वसियत की थी कि उसकी जानिब से सौ ग़ुलाम आज़ाद किये जायें और यह कि हिश्शाम ने उसकी जानिब ग़ुलाम आज़ाद कर दिये हैं और उस पर पचास ग़ुलाम बाक़ी रह गये हैं तो क्या मैं उसकी तरफ़ से (अपने बाप की तरफ़ से) यह पचास आज़ाद कर दूँ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि अगर वह मुसलमान होता फिर तुम उसकी तरफ़ से ग़ुलाम आज़ाद करते या सदक़ा करते या हज अदा करते तो उसको यह पहुँचता। (मिश्कात स.266)

हदीस् (8) इब्ने माजा व बैहक़ी हज़रत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि

फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो शख़्स अपने वारिस् की मीरास् काटेगा अल्लाह तआला कियामत के दिन जन्नत से उसकी मीरास् को काटदेगा। (मिश्कात स.266)

मसाइले फ़िक़्हिया

वसियत करना जाइज़ है कुर्आन करीम से हदीस् शरीफ़ से और इजमाए उम्मत से उसकी मशरूईयत साबित है हदीस् शरीफ़ में वसियत करने की तर्ग़ीब दीगई है।(जौहरा नय्यरा जि.2 व बदाइअ जि.7 स.33) शरीअत में ईसा यानी वसियत करने का मतलब यह कि बतौर एहसान किसी को अपने मरने के बाद अपने माल या मनफ़अत का मालिक बनाना। (तबईन अज आलमगीरी जि.6 स.90) वसियत का रुक्न यह है कि यूँ कहे "मैंने फुलाँ के लिये इतने माल की वसियत की या फुलाँ को मैंने यह वसियत की" (मुहीतुल'सर्ख़सी अज आलमगीरी जि.6 स.90) वसियत में चार चीज़ों का होना ज़रूरी है (1)**मूसी** यानी वसियत करने वाला (2)**मूसा लहू** यानी जिस के लिये वसियत की जाये। (3)**मूसा'बिही** यानी जिस चीज़ की वसियत की जाये।(4)**वसी** यानी जिस को वसियत की जाये।(किफ़ाया अज आलमगीरी जि.6 स.90)

मसअ्ला.1:– वसियत करना मुस्तहब है जब कि उस पर हुकूकुल्लाह की अदायगी बाक़ी न हो अगर उस पर हकूकुल्लाह की अदायगी बाक़ी है जैसे उस पर कुछ नमाज़ों का अदा करना बाकी है या उस पर हज फ़र्ज़ था अदा न किया या रोज़ा रखना था न रखा तो ऐसी सूरत में उनके लिये वसियत करना वाजिब है। (तबईन अज़ आलमगीरी जि.6 स.90 व कुदूरी दुर्रेमुख़्तार रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.2:– वसियत चार किस्म की है। (1)**वाजिबा,**जैसे ज़कात की वसियत और कफ़्फ़ाराते वाजिबा की वसियत और सदका–ए–सियाम (रोज़ा) व सलात (नमाज़) की वसियत। (2)**मुबाहा** जैसे वसियत अग़निया (मालदारों) के लिये। (3)**वसियते मकरूहा** जैसे अहले फ़िस्क़ व मआ़सियत के लिये वसियत जब यह गुमान ग़ालिब हो कि वह माले वसियत गुनाह में सर्फ़ करेगा। (दुर्रे मुख़्तार व रद्दुल मुहतार स.453) (4)**इसके एलावा के लिये** वसियत मुस्तहब है।

मसअ्ला.3:– वसियत का रुक्न ईजाब व क़बूल है ईजाब वसी की तरफ़ से और कबूल मूसा'लहू की तरफ़ से इमामे आज़म और साहिबैन के नज़्दीक। (बदाइअ् जि.7 स.331)

मसअ्ला.4:– मूसा'लहू सराहतन या दलालतन मूसी की वसियत को क़बूल करले सराहतन यह है कि साफ़ अल्फ़ाज़ में कहदे कि मैंने क़बूल किया और दलालतन यह है कि मस्लन मूसा लहू वसियत को मन्ज़ूर करने से क़ब्ल इन्तिक़ाल कर जाये तो उसकी मौत उसकी क़बूलियत समझी जायेगी और वह चीज़ उसके वुरसा को विरासत में देदी जायेगी। (आलमगीरी जि.6 स.90)

मसअ्ला.5:– वसियत क़बूल करने का एअ्तिबार मूसी की मौत के बाद है अगर मूसा'लहू ने मूसी की ज़िन्दगी ही में उसे क़बूल किया या रद किया तो यह बातिल है मूसा'लहू को इख़्तियार रहेगा कि वह मूसी के इन्तिक़ाल के बाद वसियत को क़बूल करे। (सिराजिया अज़ आलमगीरी जि.6 स.90)

मसअ्ला.6:– वसियत को क़बूल करना कभी अमलन भी होता है जैसे वसी का वसियत को नाफ़िज़ करना या मूसी के वुरसा के लिये कोई चीज़ ख़रीदना या मूसी के क़र्ज़ों को अदा करना वग़ैरा(आलमगीरी जि.6 स.90)

मसअ्ला.7:– वसियत की शर्त यह है कि मूसी मालिक बनाने का अहल हो और मूसा'लहू मालिक बनने का अहल हो और मूसा बिही मूसी की मौत के बाद क़ाबिले तम्लीके माल या मन्फ़अत हो।

मसअ्ला.8:– ईसा का हुक्म यह है कि माले वसियत मूसा'लहू की मिल्कियत में इसी तरह दाख़िल हो जाता है जैसे हिबा किया हुआ माल। (किफ़ाया अज़ आलमगीरी जि.6 स.90 दुर्रेमुख़्तार व बदाइअ् जि.7 स.233)

मसअ्ला.9:– मुस्तहब यह है कि इन्सान अपने तिहाई माल से कम में वसियत करे ख़्वाह वुरसा मालदार हों या फ़ुक़रा। (हिदाया व आलमगीरी जि.6 स.90, कुदूरी जौहरा नय्यिरा)

मसअ्ला.10:– जिसके पास माल थोड़ा हो उसके लिये अफ़ज़ल यह है कि वह वसियत न करे जब कि उसके वारिस् मौजूद हों और जिस शख़्स के पास कसीर माल हो उसके लिये अफ़ज़ल यह है कि वह अपने सुलुस् माल (तिहाई माल) से ज़्यादा की वसियत न करे। (आलमगीरी जि.6 स.90)

मसअ्ला.11:– मूसा'लहू (जिसके लिये वसियत की गई) वसियत कबूल करते ही मूसा बिही (जिस चीज़ की वसियत की गई) का मालिक बन जाता है ख़्वाह उसने मूसा'बिही को कब्ज़े में लिया हो या न लिया हो और अगर मूसा'लहू ने वसियत को कबूल न किया रद्द कर दिया तो वसियत बातिल हो जायेगी।

मसअ्ला.12:– वसियत सुलुस् माल से ज़्यादा की जाइज़ नहीं मगर यह कि वारिस् अगर बालिग हैं और ना'बालिग या मजनून नहीं और वह मूसी (वसियत करने वाला) की मौत के बाद सुलुस् माल से ज़ाइद की वसियत जाइज़ करदें तो सहीह है मूसी की ज़िन्दगी में अगर वारिसों ने इजाज़त दी तो इसका एअ्तिबार नहीं मूसी की मौत के बाद इजाज़त मोअ्तबर है। (आलमगीरी जि.6 स.90)

मसअ्ला.13:– वारिसों की इजाज़त के बिगैर अजनबी शख़्स के लिये तिहाई माल में वसियत सहीह है। (तबईन अज़ आलमगीरी जि.6 स.90)

मसअ्ला.14:– मूसी ने अगर अपने कुल माल की वसियत करदी और उसका कोई वारिस् नहीं है तो वसियत नाफ़िज़ हो जायेगी बैतुल'माल से इजाज़त लेने की हाजत नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.90)

मसअ्ला.15:– अह्नाफ़ के नज़्दीक वारिस् के लिये वसियत जाइज़ नहीं मगर इस सूरत में जाइज़ है कि वारिस् उसकी इजाज़त देदें और अगर किसी ने विरास्त और अजनबी दोनों के लिये वसियत की तो अजनबी के हक़ में सहीह है और वारिस् के हक़ में वुरसा की इजाज़त पर मौकूफ़ रहेगी अगर उन्होंने जाइज़ करदी तो जाइज़ है और इजाज़त नहीं दी तो बातिल और यह इजाज़त मूसी की हयात में मोअ्तबर नहीं यहाँ तक कि अगर वारिसों ने मूसी की हयात में इजाज़त दी थी फिर भी उन्हें मूसी की मौत के बाद रुजूअ् कर लेने का हक़ है। (आलमगीरी जि.6 स.90)

मसअ्ला.16:– वारिस् और गैर वारिस् होने का एअ्तिबार मूसी की मौत के वक़्त है कि ब'वक़्ते वसियत यानी अगर मूसा'लहू ब'वक़्ते वसियत मूसी का वारिस् था और मूसी की मौत के वक़्त वारिस् न रहा तो वसियत सहीह होगी और ब'वक़्ते वसियत वारिस् नहीं था फिर ब'वक़्ते मौत वारिस् होगया तो वसियत बातिल होजायेगी। मिसाल के तौर पर अगर मूसी ने अपने भाई के लिये वसियत की इस हाल में कि भाई वारिस् था फिर मौत से पहले मूसी के लड़का पैदा होगया तो भाई के हक़ में वसियत सहीह होगई और अगर उसने अपने भाई के लिये इस हाल में वसियत की कि मूसी का लड़का मौजूद है फिर मौत से पहले उसके लड़के का इन्तिक़ाल होगया तो भाई के हक़ में वसियत बातिल हो जायेगी। (तबईन अज आलमगीरी जि.6 स.91)

मसअ्ला.17:– वारिसों की इजाज़त से जब वसियत जाइज़ होगई तो जिसके हक़ में वसियत जाइज की गई वह मूसा'बिही का मालिक होजायेगा ख़्वाह उसने क़ब्ज़ा न लिया हो वारिस् को अब रुजूअ् करने का हक़ नहीं रहा वारिस् की इजाज़त सहीह होने के लिये शुयूअ् मानेअ् नहीं (यानी मूसा'बिही का मुश्तरक होना) (काफी अज़ आलमगीरी जि.6 स.91)

मसअ्ला.18:– किसी ने वारिस् के लिये वसियत की दूसरे वारिस् ने उसकी इजाज़त देदी अगर यह इजाज़त देने वाला वारिस् बालिग़ मरीज़ है तो अगर यह अपने मर्ज़ से सेहत'याब होगया तो उसकी इजाज़त सहीह होगई और अगर उस बीमारी में फ़ौत होगया तो उसकी यह इजाज़त ब'मन्ज़िला इब्तिदाए वसियत के क़रार पायेगी यहाँ तक कि अगर मूसा'लहू उस मुतवफ़्फ़ा (फ़ौत शुदा) इजाज़त देने वाले का वारिस् है तो यह वसियत जाइज़ न होगी मगर यह कि मुतवफ़्फ़ा के दूसरे वुरसा इसकी इजाज़त देदें और अगर इस सूरत में मूसा'लहू वारिस् नहीं बल्कि अजनबी था तो यह वसियत सहीह होगी मगर सुलुस् माल में जारी होगी। (मुहीत अज़ आलमगीरी जि.6 स.91 मतबूआ पाकिस्तान)

मसअ्ला.19:– जिस वसियत का जवाज़ व निफ़ाज़ (जाइज व नाफिज होना) वुरसा की इजाज़त पर है उनमें अगर बाज़ वुरसा ने इजाज़त देदी और बाज़ ने इजाज़त न दी यानी बाज़ ने रद करदी तो इजाज़त देने वाले वुरसा के हिस्से में नाफ़िज़ होगी और दूसरे के हक़ में बातिल। (आलमगीरी जि.6 स.91)

मसअ्ला.20:– हर वह मक़ाम जहाँ वुरसा की इजाज़त की हाजत है उस इजाज़त में शर्त यह है

और मुजीज (इजाजत देने वाला) अहले इजाज़त से हो मसलन बालिग और आकिल और सहीह यानी ग़ैर मरीज हो। (खिजानतुल मुफ़तीन अज आलमगीरी जि.6 स.91)

मसअ्ला.21:– मूसी की वसियत अपने क़ातिल के लिये जाइज़ नहीं ख़्वाह मूसी का क़त्ल उसने अमदन किया हो या ख़ताअन ख़्वाह मूसी ने अपने क़ातिल के लिये वसियत ज़ख़्मी होने से क़ब्ल की हो या बाद में लेकिन अगर वारिसों ने इस वसियत को जाइज़ कर दिया तो इमाम अबू'हनीफ़ा और इमाम मुहम्मद रहिमहुमल्लाह के नज़्दीक जाइज़ है। (मब्सूत अज आलमगीरी जि.6 स.91)

मसअ्ला.22:– इन सूरतों में क़ातिल के लिये वसियत जाइज़ है जबकि क़ातिल ना'बालिग बच्चा, या पागल हो अगर्चे वुरसा उसको जाइज न करें या यह कि क़ातिल के इलावा मूसी का कोई दूसरा वारिस न हो यह इमाम अबू'हनीफ़ा और इमाम मुहम्मद रहिमहुमल्लाहु तआला के नज़्दीक है। (आलमगीरी जि.6 स.91)

मसअ्ला.23:– किसी औरत ने मर्द को किसी धारदार लोहे की चीज़ से या बिग़ैर धारदार चीज़ से मारा फिर उसी मर्द ने उस क़ातिला के लिये वसियत की फिर उससे निकाह करलिया तो औरत को उस मर्द की मीरास न मिलेगी न वसियत, उसको सिर्फ़ उसका महरे मिस्ल मिलेगा, महरे मिस्ल महरे मुअय्यन से जिस क़द्र ज़्यादा होगा वह वसियत शुमार होकर बातिल क़रार पायेगा। (आलमगीरी जि.6 स.91)

मसअ्ला.24:– अमदन क़त्ल में मुआफ़ कर देना जाइज़ है और अगर ख़ताअन क़त्ल हुआ और मुआफ़ कर दिया तो यह वसियत शुमार होगा लिहाज़ा सुलुस माल में नाफ़िज़ होगा। (आलमगीरी जि.6 स.91)

मसअ्ला.25:– मूसी ने किसी शख़्स के लिये वसियत की फिर मूसा'लहू के ख़िलाफ़ दलील क़ाइम होगई कि मूसी का क़ातिल है और बाज़ वुरसा ने उसकी तस्दीक़ की और बाज़ ने तकज़ीब (झुटलाना) तो मूसा'लहू मक़तूल की दियत अदा करने में तकज़ीब करने वाले वारिसों के बक़द्र हिस्सा बरी होगा और मूसी की वसियत उनके हिस्से में बक़द्र सुलुस नाफ़िज़ होगी और तस्दीक़ करने वाले वुरसा को मूसा'लहू बक़द्र उनके हिस्से के दियत अदा करेगा और उनके हिस्से में उसके लिये वसियत बातिल होगी। (आलमगीरी जि.6 स.91)

मसअ्ला.26:– वसियत जाइज़ है अपने वारिस के बेटे के लिये और जाइज़ है वसियत क़ातिल के बाप, दादा के लिये और क़ातिल के बेटे, पोते के लिये। (फ़तावा काज़ीख़ाँ अज़ आलमगीरी जि.6 स.91)

मसअ्ला.27:– अगर वसियत की कि फ़ुलाँ के घोड़े पर हर माह दस रुपये ख़र्च किये जायें तो वसियत साहिबे फ़रस (यानी घोडे के मालिक) के लिये है लिहाज़ा अगर मालिक ने घोड़ा बेच दिया तो वसियत बातिल होजायेगी। (ज़हीरिया अज़ आलमगीरी जि.6 स.91)

मसअ्ला.28:– मुस्लिम की वसियत ज़िम्मी के लिये और ज़िम्मी की वसियत मुसलमान के लिये जाइज़ है। (काफ़ी अज़ आलमगीरी जि.6 स.91)

मसअ्ला.29:– ज़िम्मी की वसियत काफ़िर हर्बी ग़ैर मुस्तामिन के लिये (जो दारुल'इस्लाम में अमान लिये न हो) सहीह नहीं। (बदाइअ् अज़ आलमगीरी जि.6 स.92)

मसअ्ला.30:– काफ़िर हर्बी दारुल हर्ब में है और मुसलमान दारुल'इस्लाम में है उस मुसलमान ने इस काफ़िर हर्बी के लिये वसियत की तो यह वसियत जाइज़ नहीं अगर्चे वुरसा इसकी इजाज़त दें और अगर हर्बी मूसा'लहू दारुल'इस्लाम में अमान लेकर दाख़िल हुआ और अपनी वसियत हासिल करने का क़स्द व इरादा किया तो उसे माली वसियत से कुछ लेने का इख़्तियार नहीं ख़्वाह वुरसा इसकी इजाज़त दें और अगर मूसी भी दारुल'हर्ब में हो तो इस में मशाइख़ का इख़्तिलाफ़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.31:– काफ़िरे हर्बी दारुल'इस्लाम में अमान लेकर आया मुसलमान ने उस के लिये वसियत की तो यह वसियत सुलुस माल में जाइज़ होगी ख़्वाह वुरसा इस की इजाज़त दें या न दें लेकिन सुलुस माल से ज़ाइद में वुरसा की इजाज़त की ज़रूरत है काफ़िरे हर्बी मुस्तामिन के लिये भी यही हुक्म हिबा करने और सदक़ा–ए–नाफ़िला देने का है। (तातार ख़ानिया अज़ आलमगीरी जि.6 स.92)

मसअ्ला.32:– मुसलमान की वसियत मुर्तद के लिये जाइज़ नहीं। (फ़तावा क़ाज़ी ख़ाँ अज आलमगीरी जि.6 स.92)

मसअला.33:– किसी शख़्स ने वसियत की लेकिन उसपर इतना कर्ज़ है कि उसके पूरे माल का मुहीत है तो यह वसियत जाइज़ नहीं मगर यह कि क़र्ज़ख़्वाह अपना क़र्ज़ मुआफ करदें।

मसअला.34:– वसियत करना उसका सहीह है जो अपना माल बतौर एहसान व हुस्ने सलूक किसी को दे सकता हो लिहाज़ा पागल, दीवाने और मकातिब व माज़ून का वसियत करना सहीह नहीं और यूंही अगर मजनून ने वसियत की फिर सेहत पाकर मरगया यह वसियत भी सहीह नहीं क्योंकि ब'वक़्ते वसियत वह अहल नहीं था। (आलमगीरी जि.6 स.92)

मसअला.35:– बच्चे की वसियत ख़्वाह वह क़रीबुल'बुलूग हो जाइज़ नहीं।

मसअला.36:– वसियत मज़ाक में, जब्र व इकराह की हालत में और ख़ताअन मुँह से निकल जाने से सहीह नहीं। (बदाइअ अज आलमगीरी जि.6 स.92)

मसअला.37:– आज़ाद आक़िल ख़्वाह मर्द हो या औरत उसकी वसियत जाइज है और मुसाफिर जो अपने माल से दूर है उसकी वसियत जाइज़ है। (फतावा क़ाज़ीख़ाँ अज आलमगीरी जि.6 स.92)

मसअला.38:– पेट के बच्चे की और पेट के बच्चा के लिये वसियत जाइज है बशर्ते कि वह बच्चा वक़्ते वसियत से छः माह से पहले पहले पैदा होजाये। (आलमगीरी जि.6 स.92)

मसअला.39:– अगर किसी शख़्स ने यह वसियत की कि "मेरी यह लौन्डी फुलाँ के लिये है मगर उसके पेट का बच्चा नहीं" तो यह वसियत और इस्तिसना दोनों जाइज़ हैं।

मसअला.40:– मूसी ने अपनी बीवी के पेट में बच्चे के लिये वसियत की फिर वह बच्चा मूसी के इन्तिक़ाल और उसकी वसियत के एक माह बाद मरा हुआ पैदा हुआ तो उसके लिये वसियत सहीह नहीं और अगर ज़िन्दा पैदा हुआ फिर मरगया तो वसियत जाइज है मूसी के तिहाई माल में नाफ़िज़ होगी और उस बच्चे के वारिसों में तक़सीम होगी, और अगर मूसी की बीवी के दो जुडवाँ बच्चे हुए यानी एक ही हमल में और उनमें से एक ज़िन्दा और एक मुर्दा है तो वसियत ज़िन्दा के हक़ में नाफ़िज़ होगी और अगर दोनों ज़िन्दा पैदा हुए फिर एक इन्तिक़ाल कर गया तो वसियत उन दोनों के दरम्यान निस्फ़ निस्फ़ नाफ़िज़ होगी और जिस बच्चे का इन्तिक़ाल होगया उसका हिस्सा उसके वारिसों की मीरास होगा। (आलमगीरी जि.6 स.92)

मसअला.41:– मूसी ने यह वसियत की कि अगर फुलाँ औरत के पेट में लडकी है तो उसके लिये एक हज़ार रुपये की वसियत है और अगर लड़का है तो उसके लिए दो हजार रुपये की वसियत है फिर उस औरत ने छः माह से एक दिन पहले लड़की को जन्म दिया और उसके दो दिन या तीन दिन बाद लड़का जना तो दोनों के लिये वसियत नाफ़िज़ होगी और मूसी के तिहाई माल से दी जायेगी। (आलमगीरी जि.6 स.92)

वसियत से रुजूअ़ करने का बयान

मसअला.1:– वसियत करने वाले के लिये यह जाइज है कि वह अपनी वसियत से रुजूअ़ करले। यह रुजूअ़ कभी सरीहन होता है और कभी दलालतन। सरीहन की सूरत यह है कि साफ लफ्ज़ों में कहे कि मैंने वसियत से रुजूअ़ करलिया या इसी क़िस्म के और कोई सरीह लफ्ज़ बोले और दलालतन रुजूअ़ करने की सूरत यह है कि कोई ऐसा अमल करे जो रुजूअ़ कर लेने पर दलालत करे, इस के लिये असले कुल्ली(क़ायदा कुल्ली)यह है कि हर ऐसा फ़ेअ़ल जिसे मिल्के गैर में अमल में लाने से मालिक का हक़ मुन्क़तअ़(ख़त्म)होजाये, अगर मूसी ऐसा काम करे तो यह उसका अपनी वसियत से रुजूअ़ करना होगा इसी तरह हर वह फ़ेअ़ल जिस से मूसा'बिही में ज़्यादती और इज़ाफ़ा होजाये और उस ज़्यादती के बिग़ैर मूसा'बिही को मूसा'लहू के हवाले न किया जा सके तो यह फ़ेअ़ल भी रुजूअ़ करना है इसी तरह हर वह तसर्रुफ़ जो मूसा बिही को मूसी की मिल्कियत से ख़ारिज करदे यह भी रुजूअ़ करना है।(आलमगीरी स.92)इन उसूल से मुन्दर्जा ज़ैल मसाइल निकलते हैं।

मसअला.2:– मूसी ने किसी कपड़े की वसियत की फिर उस कपड़े को काटा और सीलिया या रुई की वसियत की फिर उसे सूत बनालिया या सूत की वसियत की फिर उसे बुनलिया या लोहे की

वसियत की फिर उसे बर्तन बनालिया तो यह सब सूरतें वसियत से रुजूअ् कर लेने की हैं(आलमगीरी)
मसअ्ला.3:– चान्दी के टुकड़े की वसियत की फिर उसकी अंगूठी बनाली या सोने के टुकड़े की वसियत की फिर उसको कोई ज़ेवर बनालिया यह रुजूअ् सहीह नहीं है।(मुहीत अज आलमगीरी जि.6 स.93)
मसअ्ला.4:– अगर मूसी ने मूसा बिही को फरोख़्त करदिया फिर उसको ख़रीद लिया या उसने मूसा बिही को हिबा कर दिया फिर उससे रुजूअ् कर लिया तो वसियत बातिल होजायेगी(आलमगीरी)
मसअ्ला.5:– जिस बकरी की वसियत करदी थी उसे ज़बह करलिया यह भी वसियत से रुजूअ् कर लेना है लेकिन जिस कपड़े की वसियत की थी उसे धोया तो यह रुजूअ् नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.93)
मसअ्ला.6:– पहले वसियत करदी फिर उस से मुन्किर होगया तो इस का यह इन्कार अगर मूसा लहू की अदम मौजूदगी में हो तो यह रुजूअ् नहीं लेकिन अगर मूसा लहू की मौजूदगी में इन्कार किया तो यह वसियत से रुजूअ् है। (मब्सूत अज आलमगीरी जि.6 स.93)
मसअ्ला.7:– मूसी ने कहा कि मैंने फुलाँ के लिये जो भी वसियत की वह हराम है या रिबा (सूद) है तो यह रुजूअ् नहीं लेकिन अगर यह कहा कि वह बातिल है तो यह रुजूअ् है।(काफी अज आलमगीरी जि.6 स.93)
मसअ्ला.8:– लोहे की वसियत की फिर उसकी तलवार या ज़रह बनाली तो यह रुजूअ् है(आलमगीरी जि.6)
मसअ्ला.9:– गेहूँ की वसियत की फिर उस का आटा पिसवालिया या आटे की वसियत की फिर उसकी रोटी पकाली तो यह वसियत से रुजूअ् कर लेना है। (आलमगीरी जि.6 स.93)
मसअ्ला.10:– घर की वसियत की फिर उसमें गच कराया (चूने का प्लास्तर कराया) या उसको गिरा दिया तो यह रुजूअ् नहीं आगर उसकी बहुत ज़्यादा लिसाई कराई तो यह रुजूअ् है। (आलमगीरी जि.6 स.93)
मसअ्ला.11:– ज़मीन की वसियत की फिर उसमें अंगूर का बाग़ लगाया दीगर पेड़ लगादिये तो यह रुजूअ् है और अगर ज़मीन की वसियत की फिर उसमें सब्ज़ी उगाई तो यह रुजूअ् नहीं(आलमगीरी)
मसअ्ला.12:– अंगूर की वसियत की फिर वह मुनक्क़ा होगया या चाँदी की वसियत की फिर वह अंगूठी में तब्दील होगई या अन्डे की वसियत की फिर उससे बच्चा निकल आया गेहूँ की बाल की वसियत की फिर वह गेहूँ होगया अगर यह तब्दीलियाँ मूसी की मौत से पहले वुकूअ् में आयें तो वसियत बातिल होगई और अगर मूसी के इन्तिक़ाल के बाद यह तब्दीलियाँ हुईं तो वसियत नाफ़िज़ होगी।(आलमगीरी जि.6 स.94)
मसअ्ला.13:– एक शख़्स ने दूसरे के माल में एक हज़ार रुपये की वसियत किसी के लिये करदी या उसके कपड़े की वसियत करदी और इस दूसरे शख़्स यानी मालिक ने वसियत करने वाले की मौत से पहले या मौत के बाद उसे जाइज़ कर दिया तो उस मालिक के लिये इस वसियत से रुजूअ् कर लेना जाइज़ है जब तक मूसा लहू के सिपुर्द न करदे लेकिन अगर मूसा लहू ने कब्ज़ा ले लिया तो वसियत नाफ़िज़ हो जायेगी क्योंकि माले ग़ैर की वसियत ऐसी है जैसे माले ग़ैर को हिबा करना लिहाज़ा बिग़ैर तस्लीम और क़ब्ज़ा के सहीह नहीं। (मब्सूत अज़ आलमगीरी जि.6 स.94)

वसियत के अल्फ़ाज़ का बयान

"किन अल्फ़ाज़ से वसियत साबित होती है और किन अल्फ़ाज़ से नहीं नीज कौनसी वसियत जाइज है और कौनसी नहीं"

मसअ्ला.1:– किसी शख़्स ने दूसरे से कहा कि तू मेरे मरने के बाद मेरा वकील है तो वह उसका वसी होगा और अगर यह कहा कि तू मेरी ज़िन्दगी में मेरा वसी है तो वह उसका वकील होगा(आलमगीरी)
मसअ्ला.2:– अगर किसी ने दूसरे शख़्स से कहा कि तुझे सौ रुपये उजरत मिलेगी इस शर्त पर कि तू मेरा वसी बन जाये तो यह शर्त बातिल है सौ रुपये उसके हक़ में वसियत हैं और वह उसका वसी माना जायेगा। (ख़िज़ानुतुल मुफ़्तीन अज़ आलमगीरी जि.6 स.94)
मसअ्ला.3:– एक शख़्स ने कहा कि तुम लोग गवाह रहो कि मैंने फुलाँ शख़्स के लिये एक हज़ार रुपये की वसियत करदी और मैंने वसियत की कि मेरे माल में फुलाँ के एक हज़ार रुपये हैं तो पहली सूरत वसियत की है और दूसरी सूरत इक़रार की है। (आलमगीरी जि.6 स.94)
मसअ्ला.4:– किसी ने वसियत में यह लफ़्ज़ कहे कि मेरा तिहाई मकान फुलाँ के लिये है मैं उस

अगर यह अल्फ़ाज़ कहे कि मेरे मकान में फ़ुलाँ शख़्स
की इजाज़त देता हूँ तो यह वसियत है और अगर उसने वसियत के
का छठा हिस्सा है तो यह इकरार है। (आलमगीरी जि.6 स.94) इसी उसूल पर अगर यह इस्तिहसानन वसियत है और
मौके पर यूँ कहा कि फ़ुलाँ के लिये मेरे माल से हज़ार दिरहम तो यह इक़रार है। (आलमगीरी जि.6)
अगर यूँ कहा कि फ़ुलाँ के मेरे माल में हज़ार दिरहम हैं तो यह मकान (घर) फ़ुलाँ के लिये और उस वक़्त

मसअला.5:– अगर किसी शख़्स ने यह कहा कि मेरा यह मकान के बाद तो यह हिबा है अगर मौहूब लहू ने वसियत का कोई ज़िक्र न था न यह कहा कि मेरे मरने के बाद तो सहीह होगया और अगर क़ब्ज़ा न लिया था हिबा करने वाले की ज़िन्दगी ही में क़ब्ज़ा ले लिया तो हिबा बातिल होगया। (आलमगीरी जि.6 स.94)
कि हिबा करने वाले की मौत वाक़ेअ् होगई तो हिबा बातिल होगया। फ़ुलाँ शख़्स को मेरे मरने के

मसअला.6:– वसियत करने वाले ने कहा कि मैंने वसियत की कि फ़ुलाँ शख़्स को मेरे मरने के बाद मेरा तिहाई मकान हिबा कर दिया जाये तो यह वसियत है और इसमें मूसी की ज़िन्दगी में क़ब्ज़ा लेना शर्त नहीं है। (आलमगीरी जि.6 स.94)

मसअला.7:– मरीज़ ने किसी शख़्स से कहा कि मेरे ज़िम्मे का क़र्ज़ अदा करदे तो यह शख़्स उसका वसी बन गया। (खिज़ानतुल मुफ्तीन अज आलमगीरी जि.6 स.94)

मसअला.8:– किसी शख़्स ने हालते मर्ज़ या हालते सेहत में कहा कि अगर मेरा हादसा होजाये तो फ़ुलाँ के लिये इतना है तो यह वसियत है और 'हादसा का मतलब मौत है इसी तरह अगर उसने यह कहा कि फ़ुलाँ के लिये मेरे सुलुस माल से हज़ार दिरहम हैं तो यह वसियत शुमार होगी(आलमगीरी)

मसअला.9:– किसी शख़्स ने यह वसियत की कि मेरे वालिद की वसियत से जो तहरीरशुदा वसियत है और मैंने उसे नाफ़िज़ न किया हो तो तुम उसे नाफ़िज़ कर देना या उसने ब'हालते मर्ज़ अपने नफ़्स पर इसका इक़रार किया (यानी यह इक़रार किया कि मेरे वालिद की वसियत का निफ़ाज मेरे ज़िम्मे बाकी है) तो वसियत है और वुरसा उसकी तस्दीक़ करदें और अगर वुरसा ने इस की तकज़ीब की तो यह मूसी के सुलुस माल में नाफ़िज़ होगी। (ज़हीरिया अज़ आलमगीरी जि.6 स.94)

मसअला.10:– मरीज़ ने सिर्फ़ इतना कहा कि मेरे माल से एक हज़ार निकाल लो या यह कहा "एक हज़ार दिरहम निकाल लो" और इसके इलावा कुछ न कहा फिर वह मरगया तो अगर यह अलफ़ाज़े वसियत में कहे तो वसियत सहीह होगई, इतना माल फ़ुक़रा पर सर्फ़ किया जायेगा। इसी तरह किसी मरीज़ से कहा गया कि कुछ माल की वसियत करदो उसने कहा "मेरा तिहाई माल" इस से ज़्यादा न कहा तो अगर यह सवाल के फ़ौरन बाद कहा तो उसका तिहाई माल फ़ुक़रा पर सर्फ़ किया जायेगा। (आलमगीरी जि.6 स.95)

मसअला.11:– एक शख़्स ने वसियत की कि लोगों को एक हज़ार दिरहम दिये जायें तो यह वसियत बातिल है अगर उसने यह कहा एक हज़ार दिरहम सदक़ा करदो तो यह जाइज़ है फ़ुक़रा पर ख़र्च किये जायें। (आलमगीरी जि.6 स.95)

मसअला.12:– एक शख़्स ने यह कहा कि अगर मैं अपने इस सफ़र में मर जाऊँ तो फ़ुलाँ शख़्स के मुझपर हज़ार दिरहम क़र्ज़ हैं तो यह वसियत शुमार होगी और इसके तिहाई माल में नाफ़िज़ होगी। (आलमगीरी जि.6 स.95)

मसअला.13:– किसी शख़्स ने वसियत की कि मेरा जनाज़ा फ़ुलाँ बस्ती या शहर में ले जाया जाये और वहाँ दफ़्न किया जाये और वहाँ मेरे तिहाई माल से एक रिबात (सराय) तअ्मीर किया जाये तो यह रिबात तअ्मीर करने की वसियत जाइज़ है और जनाज़ा वहाँ ले जाने की वसियत बातिल और अगर वसी बिग़ैर वुरसा की इजाज़त व रज़ा'मन्दी के उसका जनाज़ा वहाँ लेगया तो इसके अख़्राजात का ज़ामिन खुद होगा। (आलमगीरी जि.6 स.95)

मसअला.14:– अगर किसी शख़्स ने अपनी क़ब्र को पुख़्ता खुबसूरत बनाने की वसियत की तो यह वसियत बातिल है। (आलमगीरी जि.6 स.95)

मसअ्ला.15:– कोई शख़्स यह वसियत करे कि मेरे मरने के बाद खाना तैयार किया जाये और तअ्ज़ियत करने के लिये आने वालों को खिलाया जाये तो यह वसियत सुलुस् माल में नाफ़िज़ होगी यह खाना उन लोगों के लिये होगा जो मय्यित के मकान पर तवील क़ियाम रखते हैं या वह दूर दराज़ इलाके से आये हों और इस में ग़रीब, अमीर सब बराबर हैं सब को यह खाना जाइज़ है लेकिन जो लम्बी मसाफ़त तय करके नहीं आया या उसका क़ियाम तवील नहीं है उनके लिये यह खाना जाइज़ नहीं अगर वसी ने खाना ज़्यादा तैयार करादिया कि यह लोग खा चुके और खाना बहुत ज़्यादा बच रहा तो वसी इस ज़्यादा ख़र्च का ज़ामिन होगा और खाना बहुत थोड़ा बचा तो वसी ज़ामिन न होगा। (आलमगीरी जि6 स.95)

मसअ्ला.16:– एक शख़्स ने वसियत की कि मेरे मरने के बाद लोगों के लिये तीन दिन खाना पकवाया जाये तो यह वसियत बातिल है। (आलमगीरी जि6 स.95)

फ़ायदा:– अहले मुसीबत यानी जिसके घर में मौत हुई उनको खाना पकाकर देना और खिलाना पहले दिन में जाइज़ है क्योंकि वह मय्यित की तजहीज़ व तकफ़ीन में मश्गूलियत और शिद्दते ग़म की वजह से खाना नहीं पका सकते हैं लेकिन मौत के बाद तीसरे दिन ग़ैर मुस्तहब मकरूह है (आलमगीरी) और अगर तअ्ज़ियत के लिये औरतें जमअ् हों कि नोहा करें तो उन्हें खाना न दिया जाये कि गुनाह पर मदद देना है। (फ़तावा क़ाज़ीख़ाँ)

मसअ्ला.17:– किसी शख़्स ने यह वसियत की कि उसे एक हज़ार दीनार या दस हज़ार दिरहम की क़ीमत का कफ़न दिया जाये यह वसियत नाफ़िज़ न होगी उसे औसत दर्जा का कफ़न दिया जायेगा जिसमें न फ़ुज़ूल ख़र्ची हो और न बुख़्ल और न तंगी (आलमगीरी जि. 6 स.95) उसी में दूसरी जगह बयान किया गया है कि ऐसे शख़्स को कफ़न मिस्ल दिया जायेगा और कफ़न मिस्ल यह है कि वह अपनी ज़िन्दगी में जुमआ व ईदैन और शादियों में शिरकत के लिये जिस क़िस्म का और जिस क़ीमत का कपड़ा पहनता था उसी क़ीमत और उसी क़िस्म के कपड़े का कफ़न उसे दिया जायेगा।

मसअ्ला.18:– औरत ने अपने को शौहर को वसियत की कि उसका कफ़न वह उसके महर में से दे जो शौहर पर वाजिब है तो औरत का अपने कफ़न के बारे में कुछ कहना या मनअ् करना बातिल है(आलमगीरी जि.6)

मसअ्ला.19:– अपने घर में दफ़न करने की वसियत की तो यह वसियत बातिल है लेकिन अगर उसने यह वसियत की कि मेरा घर मुसलमानों के लिये क़ब्रिस्तान बना दिया जाये तो फिर इस घर में इस का दफ़न करना जाइज़ व सहीह है। (आलमगीरी जि.6 स.95)

मसअ्ला.20:– यह वसियत की कि अपने कमरे में दफ़न किया जाये तो यह वसियत सहीह नहीं उसे मक़ाबिरे मुस्लेमीन में दफ़न किया जायेगा। (आलमगीरी जि.6 स.95)

मसअ्ला.21:– यह वसियत की कि मेरे जनाज़े की नमाज़ फ़ुलाँ शख़्स पढ़ाये तो यह वसियत बातिल है। (आलमगीरी जि.6 स.95)

मसअ्ला.22:– किसी ने वसियत की कि मेरा सुलुस् माल मुसलमान मय्यितों के कफ़न या उनकी गोरकुनी में या मुसलमानों को पानी पिलाने में ख़र्च किया जाये तो यह वसियत बातिल है और अगर वसियत की कि मेरा सुलुस् माल फ़ुक़राए मुस्लिमीन के कफ़न में ख़र्च किया जाये या उनकी क़ब्रें खुदवाने में ख़र्च किया जाये तो यह जाइज़ है वसियत सहीह है। (आलमगीरी स.6 जि.55)

मसअ्ला.23:– मूसी ने वसियत की कि मेरा घर क़ब्रिस्तान बनादिया जाये फिर उसके किसी वारिस् का इन्तिक़ाल हुआ तो इसमें वारिस् को दफ़न करना जाइज़ है। (आलमगीरी जि.6 स.95)

मसअ्ला.24:– किसी शख़्स ने वसियत की कि मेरा घर लोगों को ठहराने के लिये सराय बनादिया जाये तो यह वसियत सहीह नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.95) ब'ख़िलाफ़ इसके कि अगर यह वसियत की कि मेरा घर सक़ाया बनादिया जाये तो वसियत सहीह है। (तातार ख़ानिया अज़ आलमगीरी जि.6 स.95)

मसअ्ला.25:– मरने वाले ने वसियत की कि मेरे मरने के बाद मुझे उसी टाट या कम्बल में दफ़न किया जाये या मेरे हाथों में हथकड़ी लगादी जाये या मेरे पावों में बेड़ी डालदी जाये तो यह वसियत

ख़िलाफ़े शरअ् और बातिल है। (आलमगीरी जि.6 स.96) और उसे कफ़ने मिस्ल दिया जायेगा और उसे आम मुसलमानों की तरह दफ़न किया जायेगा।

मसअ्ला.26:– अपनी क़ब्र को मिट्टी गारे से लेपने की वसियत की या अपनी क़ब्र पर कुब्बा तअ्मीर करने की वसियत की तो यह वसियत बातिल है लेकिन अगर क़ब्र ऐसी जगह है जिसको दरन्दों और जानवरों के ख़ौफ़ से लेपने की ज़रुरत है तो वसियत नाफ़िज़ होगी।(आलमगीरी जि.6 स.96)

मसअ्ला.27:– अपने मर्जुल'मौत में किसी ने अपनी लड़की को पचास रुपये दिये और कहा कि अगर मेरी मौत होजाये तो मेरी क़ब्र तअ्मीर कराना और उसी के क़रीब रहना और उसमें से तेरे लिये पाँच रुपये हैं बाक़ी रुपये से गेहूँ ख़रीद करके सदक़ा करदेना तो उस लड़की को यह पाँच रुपये लेना जाइज़ नहीं और अगर क़ब्र को मज़बूती के लिये बनाने की ज़रुरत है न कि ज़ीनत व आराइश के लिये तो बक़द्र ज़रूरत उसे तअ्मीर कराया जायेगा और बाक़ी फ़ुक़रा पर सदक़ा कर दिया जायेगा। (आलमगीरी जि.6 स.96)

मसअ्ला.28:– यह वसियत की कि मेरे माल से किसी आदमी को इतना माल दिया जाये कि वह मेरी क़ब्र पर क़ुर्आन पाक की तिलावत करे तो यह वसियत बातिल है। (आलमगीरी जि.6 स.96)

मसअ्ला.29:– किसी ने वसियत की कि उसकी किताबें दफ़न करदी जायें तो उन किताबों को दफ़्न करना जाइज़ नहीं मगर यह कि उन किताबों में ऐसी चीज़ें हों जो किसी की समझ में न आती हों या उन किताबों में ऐसा मवाद हो जिससे फ़साद पैदा होता हो। (मुहीत) फ़साद मुआशरा का हो या अक़ीदा व मज़हब का। (आलमगीरी जि.6 स.96)

मसअ्ला.30:– बैतुल'मक़दिस के लिये अपने सुलुस् माल की वसियत की तो जाइज़ है और यह माल बैतुल'मक़दिस की इमारत और चिराग़ बत्ती व रौशनी वग़ैरा पर ख़र्च होगा। (आलमगीरी जि.6 स.96) फ़ुक़हा ने इस मसअ्ला से वक़्फ़ मस्जिद की आमदनी से मस्जिद के अन्दर रौशनी करने के जवाज का क़ौल किया है। (आलमगीरी जि.6 स.96)

मसअ्ला.31:– मूसी ने अपने माल से जिहाद फ़ी'सबीलिल्लाह करने की वसियत की तो वसी को जिहाद करने वाले शख़्स को उसके खाने, पीने, आने, जाने, और मोर्चा पर रहने का ख़र्चा मूसी के माल से देना होगा लेकिन मुजाहिद के घर का ख़र्चा उसमें नहीं अगर मुजाहिद पर ख़र्च करने से कुछ माल बचगया तो वह मूसी के वुरसा को वापस कर दिया जायेगा और मुनासिब यह कि मूसी की तरफ़ से जिहाद के लिये मूसी के घर से रवाना हो जैसे कि हज की वसियत में मूसी के घर से रवाना होना है। (आलमगीरी जि.6 स.96)

मसअ्ला.32:– मुसलमान की वसियत ईसाई फ़ुक़रा के लिये जाइज़ है लेकिन उनके लिये गिर्जा तअ्मीर करने की वसियत जाइज़ नहीं क्योंकि यह गुनाह है और जो शख़्स उस गुनाह में इआनत (मदद) करेगा गुनाहगार होगा। (आलमगीरी जि.6 स.96)

मसअ्ला.33:– यह वसियत की कि मेरा सुलुस् माल मस्जिद पर ख़र्च किया जाये तो यह जाइज़ है और यह माल मस्जिद की तअ्मीर और उस के चिराग़ व बत्ती वग़ैरा पर ख़र्च होगा(आलमगीरी जि.6 स.96)

मसअ्ला.34:– एक शख़्स ने अपनी उस ज़मीन की वसियत की जिस में खेती खड़ी है लेकिन खेती की वसियत नहीं की तो यह जाइज़ है और यह खेती कटने के वक़्त तक उसमें बाक़ी रहेगी और उसका मुआवज़ा दिया जायेगा। (फ़तावा क़ाज़ीख़ाँ अज़ आलमगीरी जि.6 स.96)

मसअ्ला.35:– किसी ने वसियत की कि मेरा घोड़ा मेरी तरफ़ से अल्लाह की राह में जिहाद करने में इस्तेअ्माल किया जाये तो यह वसियत जाइज़ है और उसे ग़ज़वा में इस्तेअ्माल किया जायेगा इस्तेअ्माल करने वाला अमीर हो या ग़रीब और जब ग़ाज़ी ग़ज़वा से वापस आये तो घोड़ा वुरसा को वापस करदे और वुरसा इस घोड़े को हमेशा ग़ज़वा के लिये देते रहेंगे(मुहीत अज़ आलमगीरी जि.6 स.96)

मसअ्ला.36:– अगर किसी ने यह वसियत की कि मेरा घोड़ा और मेरे हथियार फ़ि'सबीलिल्लाह हैं तो इसका मतलब किसी को मालिक बना देना है लिहाज़ा कोई ग़रीब व फ़क़ीर आदमी उनका

मालिक बनादिया जायेगा। (आलमगीरी जि.6 स.96)

मसअ्ला.37:– किसी शख़्स ने यह वसियत की कि उसकी आराज़ी (ज़मीन) मसाकीन के लिये क़ब्रिस्तान करदी जाये या यह वसियत की कि उसे आने, जाने वालों के लिये सराय बनादिया जाये तो यह वसियत बातिल है। (आलमगीरी जि.6 स.97)

मसअ्ला.38:– मुस्हफ़ की वसियत की कि वह मस्जिद में वक़्फ़ कर दिया जाये तो यह वसियत जाइज़ है। (आलमगीरी जि.6 स.97)

मसअ्ला.39:– वसियत की कि उसकी ज़मीन मस्जिद बनादी जाये तो यह बिला इख़्तिलाफ़ जाइज़ है। (आलमगीरी जि.6 स.97)

मसअ्ला.40:– वसियत करने वाले ने कहा कि मेरा तिहाई माल अल्लाह तआ़ला के लिये है तो यह वसियत जाइज़ हैं और यह माल नेकी व भलाई के रास्ते में ख़र्च होगा और फ़ुक़रा पर सर्फ़ किया जायेगा। (आलमगीरी जि.6 स.97)

मसअ्ला.41:– वसियत करने वाले ने कहा मेरा तिहाई माल फ़ी'सबीलिल्लाह राहे ख़ुदा में है यहाँ फ़ी'सबीलिल्लाह का मतलब ग़ज़वा है। (आलमगीरी जि.6 स.97)

मसअ्ला.42:– अगर यह कहा कि मेरा तिहाई माल नेक कामों के लिये है तो उसे तअ्मीरे मस्जिद और उसकी चिराग़ व बत्ती में ख़र्च करना जाइज़ है लेकिन मस्जिद की आराइश व ज़ेबाइश में ख़र्च करना जाइज़ नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.97)

मसअ्ला.43:– अगर किसीने अपने तिहाई माल की वुजूहे ख़ैर (अच्छाई की बजहे) में ख़र्च करने की वसियत की तो उसे पुल बनाने, मस्जिद बनाने, और तालिबाने इल्म पर ख़र्च किया जायेगा(आलमगीरी)

मसअ्ला.44:– किसी ने वसियत की कि मेरा तिहाई माल गाँवों के मुसालेह (गाँव को अच्छा बनाने) में ख़र्च किया जाये तो यह वसियत बातिल है। (आलमगीरी जि.6 स.97)

सुलुस माल की वसियत का बयान

"वसियत सुलुस् माल की या ज़्यादा या कम की वुरसा ने इसकी इजाज़त दी या न दी या बाज़ ने इजाज़त दी बाज़ ने न दी बेटी या बेटे के हिस्से के बराबर की वसियत वग़ैरा"

मसअ्ला.1:– मरने वाले ने किसी आदमी के हक़ में अपने चौथाई माल की वसियत की और एक दूसरे आदमी के हक़ में अपने निस्फ़ माल की अगर वुरसा ने इस वसियत को जाइज़ रखा तो निस्फ़ माल उसको मिलेगा जिसके हक़ में निस्फ़ माल की वसियत है और चौथाई माल उसे दिया जायेगा जिसके लिये चौथाई माल की वसियत की और बाक़ी माल वारिसों के दरम्यान मुक़र्ररा हिस्सों के मुताबिक़ तक़सीम किया जायेगा और अगर वारिसों ने उसकी वसियत को जाइज़ न रखा तो इस सूरत में मरने वाले मूसी की वसियत उसके सुलुस् माल में सहीह होगी और उसका सुलुस् माल सात हिस्सों में मुन्क़सिम (तक़सीम) होकर चार हिस्से निस्फ़ माल की वसियत वाले को और तीन हिस्से चौथाई माल की वसियत वाले को मिलेंगे। (आलमगीरी जि.6 स.97)

मसअ्ला.2:– एक शख़्स के हक़ में अपने सुलुस् माल (तिहाई माल) की वसियत की और दूसरे के हक़ में अपने सुदुस माल की (छठे हिस्से की) तो इस सूरत में उसके सुलुस् माल के तीन हिस्से किये जायेंगे उसमें से दो हिस्से सुलुस् माल की वसियत वाले के लिये और एक हिस्सा उसे जिसके हक़ में सुदुस माल की वसियत की। (हिदाया अज़ आलमगीरी जि.6 स.97)

मसअ्ला.3:– एक शख़्स ने वसियत की कि मेरा कुल माल फ़ुलाँ शख़्स को देदिया जाये और एक दूसरे शख़्स के लिये वसियत की कि उसे मेरे माल का तिहाई हिस्सा दिया जाये तो अगर उसके वारिस् नहीं हैं या हैं मगर उन्होंने इस वसियत को जाइज़ कर दिया तो उसका माल दोनों (मूसा'लहुमा) के दरम्यान ब'तरीक़ मुनाज़अत तक़सीम होगा और इसकी सूरत यह है कि सुलुस् माल निकालकर बक़िया कुल उसको देदिया जायेगा जिसके हक़ में कुल माल की वसियत है रहा सुलुस्

माल तो वह दोनों के माबैन निस्फ निस्फ तकसीम कर दिया जायेगा। (आलमगीरी जि.6 स.9)

मसअला.4:– मूसी ने एक शख़्स के लिये अपने सुलुस माल की वसियत की और दूसरे शख़्स के लिये भी अपने सुलुस माल की वसियत करदी और वुरसा उसके राजी न हुए तो उसका सुलुस माल दोनों के माबैन तकसीम होगा। (काफी अज आलमगीरी जि.6 स.98)

मसअला.5:– किसी ने वसियत की कि मेरे माल का एक हिस्सा या मेरा कुछ माल फुलाँ शख़्स को देदिया जाये तो इसकी तशरीह का हक मूसी को है अगर वह जिन्दा है और उसकी मौत के बाद इस की तशरीह का हक वुरसा को है। (शरहुत्तहावी अज आलमगीरी जि.6 स.98)

मसअला.6:– किसी ने अपने माल के एक जुज की वसियत की तो वुरसा से कहा जायेगा कि तुम जितना चाहो मूसा´लहू को देदो। (आलमगीरी जि.6 स.98)

मसअला.7:– अपने माल के एक हिस्से की वसियत की फिर उसका इन्तिकाल होगया और उसका कोई वारिस् भी नहीं है तो मूसा´लहू को निस्फ मिलेगा और निस्फ बैतुल´माल में जमअ् होगा (आलमगीरी)

मसअला.8:– एक शख़्स का इन्तिकाल हुआ उसने वारिसों में एक माँ और एक बेटा छोड़ा और यह वसियत करगया कि फुलाँ को मेरे माल से बेटी का हिस्सा है (अगर बेटी होती और उसे हिस्सा मिलता) तो वसियत जाइज़ है और उसका माल सत्रह हिस्सों में मुन्कसिम होकर मूसा´लहू को पाँच हिस्से माँ को और दस हिस्से बेटे को मिलेंगे। (आलमगीरी जि.6 स.99)

मसअला.9:– अगर मय्यित ने अपने वुरसा में एक बीवी और एक बेटा छोड़ा और एक दूसरे बेटे के बराबर हिस्से की वसियत किसी के लिये की (अगर दूसरा बेटा होता) और वारिसों ने उसकी वसियत को जाइज़ रखा तो उसका तर्का पन्द्रह हिस्सों में मुन्कसिम होगा मूसा´लहू (जिस के हक में वसियत की) को सात हिस्से, बेवा बीवी को एक हिस्सा, और बेटे को सात हिस्से दिये जायेंगे (आलमगीरी जि.6 स.99)

मसअला.10:– एक शख़्स का इन्तिकाल हुआ उसने वारिसों में एक लड़की और एक भाई छोड़ा और किसी शख़्स के लिये बकद्र हिस्सा बेटे की वसियत की (अगर दूसरा बेटा होता) और वारिसों ने उसकी वसियत को जाइज़ रखा तो इस सूरत में मूसा´लहू को उसके माल के दो सुलुस (दो तिहाई) हिस्से मिलेंगे और अगर एक सुलुस भाई और बेटी के दरम्यान निस्फ निस्फ तकसीम होगा और अगर वारिसों ने उसकी वसियत को जाइज़ न रखा तो इस सूरत में मूसा´लहू को एक सुलुस मिलेगा और सुलुस भाई और बेटी में निस्फ निस्फ तकसीम होंगे। (आलमगीरी जि.6 स.100)

मसअला.11:– एक शख़्स का इन्तिकाल हुआ उसने वुरसा में एक भाई और एक बहन छोड़ा और यह वसियत की कि फुलाँ को मेरे माल से बकद्र बेटे के हिस्से के देना (अगर बेटा होता) और वारिसों ने इसकी इजाज़त देदी तो इस सूरत में कुल माल मूसा´लहू को मिलेगा और भाई और बहन को उसके माल से कुछ हिस्सा न मिलेगा अगर यह वसियत की कि फुलाँ को बेटे के हिस्से के मिस्ल देना तो इस सूरत में मूसा´लहू को इसके माल का निस्फ मिलेगा और बाकी निस्फ में भाई बहन शरीक होंगे भाई को दो हिस्से और बहन को एक हिस्सा। (आलमगीरी जि.6 100)

मसअला.12:– वसियत करने वाले ने वसियत की के मेरे माल से फुलाँ को बकद्र बेटी के हिस्से के दिया जाये और वारिसों में उसने एक बेटी एक बहन छोड़ी तो इस सूरत में मूसा´लहू को उसका तिहाई माल मिलेगा वुरसा इजाज़त दें न दें। (आलमगीरी जि.6 स.100)

मसअला.13:– एक शख़्स का इन्तिकाल हुआ उसने अपने वारिसों में एक बेटा और बाप छोड़े और वसियत की कि फुलाँ शख़्स को मेरे बेटे के हिस्से के मिस्ल हिस्सा दिया जाये तो अगर वारिसों ने उसकी वसियत को जाइज़ रखा तो उसका माल ग्यारह हिस्सों में तकसीम होकर मूसी को पाँच हिस्से बाप को एक हिस्सा और बेटे को पाँच हिस्से मिलेंगे और अगर वारिसों ने उसकी वसियत को जाइज़ न रखा तो मूसा´लहू को उसके माल का तिहाई हिस्सा मिलेगा और बाकी बाप और बेटे के दरम्यान हिस्सा रसदी तकसीम होगा बाप को एक हिस्सा, बेटे को पाँच, यानी कुल माल के नौ

हिस्से किये जायेंगे, तीन हिस्से मूसा'लहू को, एक हिस्सा बाप को और पाँच हिस्से बेटे को दिये जायेंगे। (आलमगीरी जि.6 स.100) मज़कूरा बाला सूरतों में मय्यित के वारिसों में से अगर एक ने मय्यित की वसियत को जाइज़ न किया और एक ने जाइज़ कर दिया तो जाइज़ करने वाले वारिस् के हिस्से में से मूसा'लहू को हिस्सा मिलेगा और जाइज़ न करने वाले वारिस् के हिस्से में से नहीं मिलेगा बल्कि उसका पूरा पूरा हिस्सा मिलेगा। तफ़सील उसकी यह है कि अगर एक वारिस् ने वसियत को जाइज़ किया और दूसरे वारिस् ने जाइज़ न किया तो देखा जायेगा कि दोनों वारिसों के इजाज़त देने की सूरत में मसअ्ला का हिसाब ग्यारह हिस्सों से हुआ था और इजाज़त न देने की सूरत में मसअ्ला का हिसाब नौ से हुआ था, उन दोनों को बाहम ज़र्ब किया जाये 9×11=99 हुए. अब दोनों के वसियत को जाइज़ न करने की सूरत में निन्नानवे में से एक सुलुस् यानी 33 हिस्से मूसा'लहू को मिलेंगे और बक़िया 66 हिस्सों में से एक सुदुस (छटा हिस्सा) यानी ग्यारह बाप को मिलेंगे और बक़िया पाँच सुदुस यानी 55 हिस्से बेटे को मिलेंगे कुल मीज़ान 99 और वारिसों के इस वसियत को जाइज़ करने की सूरत में मूसा'लहू को ग्यारह में से 9×5=45 बाप को ग्यारह में से 9×1=9 और बेटे को बक़िया 9×5=45 हिस्से मिलेंगे (कुल मीज़ान 99) इस तफ़सील से मअ्लूम हुआ कि उन दोनों हालतों के दरम्यान मूसा'लहू को बारह हिस्से ज़्यादा मिले जिनमें से दो हिस्से बाप के हक़ में से और दस हिस्से बेटे के हक़ में से, क्योंकि इजाज़त न देने की सूरत में बाप को ग्यारह हिस्से मिले और इजाज़त देने की सूरत में नौ, फ़र्क़ दो हिस्सों का हुआ। और बेटे को इजाज़त देने की सूरत में 45 हिस्से मिले, और इजाज़त न देने की सूरत में 55, फ़र्क़ दस हिस्सों का हुआ इस तरह दस और दो बारह हिस्से मूसा'लहू को ज़्यादा मिलते हैं। इस तफ़सील से यह भी मालूम हुआ कि मूसा'लहू को बाप के हक़ में से दो हिस्से और बेटे के हक़ में से दस हिस्से मिले लिहाज़ा अगर बाप ने वसियत को जाइज़ रखा और बेटे ने नहीं तो बाप के हक़ में से दो हिस्से मूसा'लहू को मिल जायेंगे और बेटे को उसका पूरा हक़ मिलेगा। इस तरह निन्नानवे में से 33+2=35 हिस्से मूसा'लहू को नौ हिस्से बाप को और 55 हिस्से बेटे को मिलेंगे कुल मीज़ान 99 हुआ, और अगर बेटे ने वसियत को जाइज़ रखा और बाप ने नहीं तो बेटे के हक़ में से दस हिस्से मूसा'लहू को मिल जायेंगे बाप को इसका पूरा हक़ मिलेगा यानी निन्नानवे में से 10+33=43 हिस्से मूसा लहू को ग्यारह हिस्से बाप को और 45 हिस्से बेटे को मिलेंगे कुल मीज़ान 99 हुआ(आलमगीरी)

फ़ायदा:— इस सिलसिले में ज़ाबता यह है कि मसअ्ला की तसहीह एक बार की जाये इस सूरत में कि सब वारिसों ने इजाज़त देदी और दूसरी बार मसअ्ला की तसहीह की जाये इस सूरत में कि किसी वारिस् ने इजाज़त नहीं दी फिर दोनों तस्हीहों को एक मुबल्लिग़ से कर दिया जाये (यानी दोनो तस्हीहों को बाहम ज़र्ब देदी जाये) फिर इस सूरत में कि एक वारिस् ने इस वसियत को जाइज़ कर दिया और दूसरे ने जाइज़ न किया या इस की इजाज़त मोअ्तबर न हो जैसे बच्चा और पागल की इजाज़त मोअ्तबर नहीं तो जाइज़ करने वाले वारिसों के सिहाम को मसअ्ला इजाज़त से लिया जाये और बाक़ी दूसरों के सिहाम को मसअ्ला अदमे इजाज़त से लिया जाये वह हर वारिस् का हिस्सा होगा और जो बाक़ी बचेगा वह मूसा'लहू के लिये न सुलुसु पर ज़्यादा होगा (यानी मूसा लहू के सुलुस में बढ़ा दिया जायेगा) (जद्दुल मुमतार हाशिया रद्दुल मुहतार अज़ इफ़ादाते आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा खाँ स.639) इस की मिसाल यह है मूसी ने बाप और बेटे को छोड़ा और मूसा लहू के लिये बेटे के मिस्ल हिस्से की वसियत की वुरसा के इजाज़त देने की सूरत में मसअ्ला ग्यारह से होगा।

बाप	इब्न	मूसा'लहू
1	5	3
11	55	33

वुरसा के इजाज़त न देने की सूरत में मसअला 9 से होगा।

बाप	इब्न	मूसा'लहू
$\frac{1}{9}$	$\frac{5}{45}$	$\frac{5}{45}$

ज़ाबता के मुताबिक़ दोनों तस्हीहों का मुब्लग़ वाहिद किया 9×11=99 मुब्लग़ वाहिद हुआ। मुजीज़ (इजाज़त देने वाला) अगर बाप हो तो इजाज़त की सूरत में बाप का हिस्सा 9 सिहाम है और इजाज़त न देने की सूरत में बाक़ी दूसरों का हिस्सा 88 सिहाम है दोनों को जमअ् किया 9+88=97,फ़र्क़ 99–97=2 सिहाम लिहाज़ा मूसा'लहू को दो सिहाम ज़ाइद अलस्सुलुस् मिलेंगे यानी 33+2=35 सिहाम। और मुजीज़ अगर बेटा हो तो इजाज़त की सूरत में उसका हिस्सा 45 सिहाम है और इजाज़त न देने की सूरत में बाक़ी दूसरों का हिस्सा 44 सिहाम है, दोनों को जमअ् किया 45+44=89 फ़र्क़ 99–89=10 लिहाज़ा मूसा'लहू को दस सिहाम ज़ाइद अलस्सुलुस् मिलेंगे, 33+10=43 सिहाम।

मसअ्ला.14:– मरने वाले ने दो बेटे छोड़े और एक शख़्स के लिये अपने सुलुस् माल (तिहाई माल) की वसियत की और एक दूसरे शख़्स के लिये मिस्ल एक बेटे के हिस्से की वसियत की और दोनों वारिस् बेटों ने मरने वाले बाप की दोनों वसियतों को जाइज़ रखा तो इस सूरत में जिसके लिये तिहाई माल की वसियत की उसे मय्यित के माल का तिहाई हिस्सा मिलेगा और बक़िया दो सुलुस् दोनों बेटों और इस शख़्स के दरम्यान जिसके लिये बेटे के मिस्ल हिस्से की वसियत की तिहाई तिहाई तक़सीम होगा हिसाब उसका इस तरह होगा कि कुल माल नौ हिस्सों में मुन्क़सिम होगा इस में से तीन हिस्से उसे मिलेंगे जिस के लिये सुलुस् माल(तिहाई माल)की वसियत है बाक़ी रहे छः हिस्से तो दो दो हिस्से दोनों बेटों के दरम्यान और दो हिस्से उस के जिस के लिये बेटे के हिस्से मिस्ल वसियत की है।(आलमगीरी जि.6 स.100)और अगर उन दोनों बेटों ने बाप की वसियत को जाइज़ न किया तो एक तिहाई माल उन दोनों मुसा'लहू को दिया जायेगा जिनके हक़ में वसियत है और बक़िया दो सुलुस् (दो तिहाई) दोनों बेटों को मिल जायेगा(आलमगीरी जि.6 स.100)और अगर दोनों बेटों ने सुलुस् माल की वसियत को जाइज़ न रखा और उस वसियत को जाइज़ रखा जो उसने दूसरे शख़्स के लिये मिस्ल एक बेटे के हिस्से के की थी तो उस सूरत में साहिबे सुलुस् यानी सुलुस् माल की वसियत वाले को निस्फ़ सुलुस् यानी सुदुस(छठा हिस्सा)मिलेगा और साहिबे मिस्ल यानी जिस शख़्स के हक़ में मिस्ल हिस्सा बेटे के वसियत की उसे बक़िया माल का एक सुलुस् मिलेगा। उस सूरत में हिसाब ऐसे अदद से होगा जिसमें से अगर सुदुस(छठा हिस्सा)निकाला जाये तो बक़िया माल एक एक तिहाई के हिसाब से तक़सीम होजाये और ऐसे छोटे से छोटा अदद अठारह है लिहाज़ा कुल माले वसियत अठारह हिस्सों में तक़सीम होगा, छठा हिस्सा यानी तीन हिस्से सुलुस् माल की वसियत वाले को, बाक़ी पन्द्रह हिस्सों में एक सुलुस् यानी पाँच हिस्से उस शख़्स को जिसके लिये मिस्ल बेटे के हिस्से की वसियत की बक़िया एक सुलुस् यानी पाँच पाँच हिस्से दोनों बेटों को।(आलमगीरी जि.6 स.100) और अगर यह सूरत है कि एक बेटे ने साहिबे मिस्ल के हक़ में वसियत को जाइज़ रखा और साहिबे सुलुस् के हक़ में वसियत को रद कर दिया और दूसरे बेटे ने दोनों वसियतों को रद कर दिया तो मसअ्ला इस तरह होगा कि साहिबे मिस्ल को चार हिस्से और साहिबे सुलुस् को तीन हिस्से और जिस बेटे ने एक वसियत को जाइज़ किया उस को पाँच हिस्से और जिस बेटे ने दोनों वसियतों को रद कर दिया उसको छः हिस्से कुल मीज़ान अठारह हिस्से इस तरह साहिबे मिस्ल के हक़ में वसियत जाइज़ रखने वाले बेटे का एक हिस्सा साहिबे मिस्ल को मिला और उसका हिस्सा बजाए तीन के चार होगया और इस बेटे के छः के बजाए पाँच हिस्से रहगये। (मुहीत अज आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– एक शख़्स के पाँच बेटे हैं ......उसने वसियत की कि फुलाँ शख़्स को मेरे सुलुस्

माल में से मेरे एक बेटे के हिस्से के मिस्ल देना और सुलुस् माल में से यह हिस्सा निकालकर बाक़िया का सुलुस् एक शख़्स को दिया जाये, तो इस वसियत करने वाले का कुल माल इक्यावन हिस्सों में तक़सीम होकर उनमें से आठ हिस्से उस मूसा'लहू को मिलेंगे जिसके हक़ में बेटे के हिस्से के मिस्ल की वसियत की और तीन हिस्से दूसरे मूसा'लहू को मिलेंगे जिसके हक़ में सुलुस् मा'बक़िया मिनस्सुलुस् की वसियत की (यानी जिसके हक़ में बाक़ी बचे सुलुस माल में से एक सुलुस की वसियत की) (आलमगीरी जि.6 स.100) और हर बेटे को आठ–आठ हिस्से मिलेंगे। (मुअल्लिफ़)

मसअ्ला.16:– एक शख़्स के पाँच बेटे हैं उसने वसियत की कि फ़ुलाँ शख़्स को मेरे सुलुस् माल से मेरे एक बेटे के हिस्से के मिस्ल दिया जाये और इस सुलुस् माल से यह हिस्सा निकालकर जो बाक़ी बचे उस का सुलुस् (यानी तिहाई) एक दूसरे शख़्स को दिया जाये तो इस सूरत में इस वसियत करने वाले का माल इक्यावन हिस्सों में तक़सीम होकर जिसके लिये बेटे के हिस्से के मिस्ल की वसियत की है उसे आठ हिस्से मिलेंगे और उसके सुलुस् माल में से यह आठ निकालकर जो बाक़ी बचेगा उसका एक सुलुस् यानी तीन हिस्से उसको मिलेंग, जिसके लिए सुलुस् मा'बक़िया मिनस्सुलुस् (यानी उस के तिहाई माल से आठ हिस्से निकालकर जो बाक़ी बचा उसका तिहाई हिस्सा) की वसियत की थी और पाँच बेटों में से हर एक को आठ आठ हिस्से मिलेंगे। मसअ्ला की तख़रीज इस तरह होगी कि पाँच बेटों को ब'हिसाब फ़ी'कस एक हिस्सा = पाँच हिस्से और एक हिस्सा उसमें साहिबे मिस्ल का बढ़ाया (यानी उसका जिसके लिये बेटे के हिस्से के मिस्ल की वसियत की) इस तरह कुल छः हिस्से हुए छः को तीन में ज़र्ब दिया जाये 3×6=18हुए अठारह में एक कम किया जो ज़्यादा किया गया था तो सत्रह रहगये यह सत्रह उसके कुल माल का एक सुलुस् है इसके दो सुलुस् चौंतीस हुए, इस तरह कुल हिस्से इक्यावन हुए जब यह मालूम होगया कि सुलुस् माल (तिहाई माल) सत्रह हिस्से हैं तो इसमें से साहिबे मिस्ल का हिस्सा (यानी जिसके लिए एक बेटे के हिस्से की मिस्ल की वसियत की) मालूम करने का तरीक़ा यह है कि अस्ल हिस्से की तरफ़ देखा जाये वह पाँच बेटों के पाँच और साहिबे मिस्ल का एक था, उस एक को तीन से ज़र्ब किया तो तीन हुए फिर तीन को तीन से ज़र्ब किया तो नौ हुए, नौ में से एक जो बढ़ाया था कम किया तो आठ बाक़ी रहे, यह हिस्सा हुआ साहिबे मिस्ल का, फिर उस आठ को सत्रह में से घटाया तो नौ बाक़ी रहे उसका एक तिहाई यानी तीन हिस्से दूसरे शख़्स के जिसके हक़ में सुलुस् मा'बक़िया मिनस्सुलुस् की (बक़िया तिहाई माल के तिहाई की), वसियत की थी नौ में से तीन निकालकर छः बचे उन छः को दो तिहाई माल यानी चौंतीस हिस्सों में जमअ् किया तो चालीस होगये और यह चालीस पाँच बेटों में बराबर–बराबर ब'हिसाब फ़ी'कस आठ हिस्से तक़सीम होंगे यह कुल मिलाकर इक्यावन हुए यानी मूसा'लहू नम्बर एक को आठ, मूसा'लहू नम्बर 2 को तीन और पाँच बेटों को चालीस = कुल इक्यावन। (आलमगीरी जि.6 स.101)

मसअ्ला.17:– किसी शख़्स ने वसियत की कि "मेरे माल का छठा हिस्सा फ़ुलाँ शख़्स के लिये है" फिर उसी मज्लिस में या दूसरी मज्लिस में कहा कि उसी के लिये मेरे माल का तिहाई हिस्सा है और वारिसों ने उसे जाइज़ करदिया तो उसे तिहाई माल मिलेगा और छठा हिस्सा उसी में दाख़िल हो जायेगा। (हिदाया 45 व आलमगीरी जि.6 स.104)

मसअ्ला.18:– किसी ने वसियत की कि फ़ुलाँ शख़्स के लिये एक हज़ार रुपया है और उसका कुछ माल नक़्द है और कुछ दूसरों के ज़िम्मे उधार है तो अगर यह एक हज़ार रुपया उसके नक़्द माल से निकाला जा सकता है तो यह एक हज़ार रुपया मूसा'लहू को अदा कर दिया जायेगा और अगर यह रुपया उसके नक़्द माल से नहीं निकाला जा सकता तो नक़्द माल का एक तिहाई जिस क़द्र रहता है वह फ़िल'वक़्त अदा करदिया जायेगा और उधार में पड़ा हुआ रुपया जैसे जैसे और जितना जितना वसूल होता जायेगा वसूल शुदा रुपया का एक तिहाई मूसा लहू को दिया जाता रहेगा जब तक कि उसकी एक हज़ार की रक़म पूरी होजाये जो कि मरने वाले ने उसके लिये

वसियत की थी। (आलमगीरी जि.6 स.105)

मसअला.19:– ज़ैद ने वसियत की कि उसका एक तिहाई माल अम्र और बक्र के लिये है और बक्र का इन्तिक़ाल हो चुका है ख़्वाह उसका इल्म मूसी यानी वसियत करने वाले को हो या न हो या वसियत की कि मेरा तिहाई माल अम्र और बक्र के लिये है अगर बक्र ज़िन्दा हो हालांकि वह इन्तिक़ाल कर चुका है या यह वसियत की कि मेरा तिहाई माल अम्र के लिये और उस शख़्स के लिये है जो उस घर में हो और उस घर में कोई नहीं है या यह वसियत की कि मेरा तिहाई माल अम्र के लिये और उसके बाद होने वाले बेटे के लिये या यह कहा कि मेरा तिहाई माल अम्र के लिये और बक्र के बेटे के लिये और बक्र का बेटा वसियत करने वाले से पहले मरगया तो इस तमाम सूरतों में उसका तिहाई माल पूरा पूरा सिर्फ़ अकेले अम्र को मिलेगा। (आलमगीरी जि.6 स.105)

मसअला.20:– किसी ने वसियत की कि मेरा तिहाई माल ज़ैद और बक्र के मा'बैन तक़सीम करदिया जाये और बक्र का उस वक़्त इन्तिक़ाल होचुका हो, या यह कहा कि मेरा तिहाई माल ज़ैद और बक्र के दरम्यान तक़सीम करदिया जाये अगर वह मेरे बाद जिन्दा हो, या यह कहा कि मेरा तिहाई माल ज़ैद और फ़क़ीर के मा'बैन तक़सीम हो फिर उसका इन्तिक़ाल होगया और फ़क़ीर ज़िन्दा है या मर चुका या यह कहा कि मेरा तिहाई माल ज़ैद और बक्र के मा'बैन तक़सीम हो अगर बक्र घर में हो और वह घर में नहीं है या यह कहा कि मेरा तिहाई माल ज़ैद और बक्र के लड़के के दरम्यान तक़सीम हो और बक्र के यहाँ लड़का पैदा हुआ या लड़का मौजूद था फिर मरगया और दूसरा लड़का पैदा होगया, या यह कहा कि मेरा तिहाई माल ज़ैद और फ़ुलाँ के लड़के के मा'बैन तक़सीम हो अगर वह लड़का फ़क़ीर हो, और वह लड़का फ़क़ीर व मोहताज न हुआ था यहाँ तक कि मूसी का इन्तिक़ाल होगया, या यह वसियत की कि यह मेरा तिहाई माल ज़ैद और उसके वारिस् के लिये है, या ज़ैद और उसके दो बेटों के लिये है और उसके बेटा सिर्फ़ एक है तो उन तमाम सूरतों में ज़ैद को निस्फ़ सुलुस् यानी उसके माल का छठा हिस्सा मिलेगा। (आलमगीरी जि.6 स.105)

मसअला.21:– मूसी (वसियत करने वाला) ने ज़ैद और अम्र के लिये अपने सुलुस् माल (तिहाई माल) की वसियत की या यह कहा कि मेरा सुलुस् माल ज़ैद और अम्र के मा'बैन तक़सीम किया जाये फिर मूसी का इन्तिक़ाल होगया उसके बाद ज़ैद और अम्र दोनों में से किसी एक का इन्तिक़ाल होगया तो जो ज़िन्दा रहा उसको सुलुस् माल (तिहाई माल) का आधा मिलेगा और आधा मरने वाले के वारिसों को मिलेगा यही हुक्म उस वक़्त है जब मूसी के इन्तिक़ाल के बाद मूसा'लहुमा यानी ज़ैद और अम्र में से किसी के वसियत क़बूल करने से पहले एक का इन्तिक़ाल होजाये और दूसरा जो ज़िन्दा रहा उसने वसियत को क़बूल करलिया तो दोनों वसियत के माल के मालिक होंगे आधा ज़िन्दा को और आधा मरने वाले के वारिसों को मिलेगा, और अगर उन दोनों में से एक वसियत करने वाले से पहले इन्तिक़ाल कर गया तो उसका हिस्सा मूसी को वापस होजायेगा (आलमगीरी)

मसअला.22:– यह वसियत की कि मेरा सुलुस् माल (तिहाई माल) ज़ैद के लिये है और उसके लिये जो अ़ब्दुल्लाह के बेटों में से मोहताज व फ़क़ीर हो फिर मूसी (वसियत करने वाले) का इन्तिक़ाल होगया और अ़ब्दुल्लाह के सब बेटे उस वक़्त ग़नी और मालदार हैं तो उसका सुलुस् माल सबका सब ज़ैद को मिल जायेगा, और अगर मूसी की मौत से क़ब्ल अ़ब्दुल्लाह के कुछ बेटे (यानी सब नहीं) ग़रीब व फ़क़ीर होगये तो उसका सुलुस् माल ज़ैद और अ़ब्दुल्लाह के ग़रीब बेटों के दरम्यान बहिस्स़ –ए–मसावी उनकी तादाद के मुताबिक़ तक़सीम होगा और अगर अ़ब्दुल्लाह के सब ही बेटे ग़रीब व फ़क़ीर हैं तो उनको कुछ हिस्सा न मिलेगा वसियत का कुल माल ज़ैद को मिल जायेगा (आलमगीरी जि.6)

मसअला.23:– एक औरत का इन्तिक़ाल हुआ उसने अपने वारिसों में सिर्फ़ अपना शौहर छोड़ा और अपने निस्फ़ माल की वसियत करदी किसी अजनबी शख़्स के लिये, तो यह वसियत जाइज़ है इस सूरत में शौहर को सुलुस् मिलेगा, अजनबी को निस्फ़, बचा सुदुस (छठा हिस्सा) वह बैतुल'माल में

जमा होगा, तक़सीम इस तरह होगी कि पहले मुतवफ़्फ़िया के माल से ब'क़द्रे सुलुस् माल के निकाल लिया जायेगा क्योंकि वसियत विरासत पर मुक़द्दम है तिहाई माल निकालने के बाद दो तिहाई माल बाक़ी बचा इस में से निस्फ़ शौहर को विरासत में दिया जायेगा जो कि कुल माल के एक सुलुस् के बराबर है अब बाक़ी रहा एक सुलुस् इस का कोई वारिस् है ही नहीं लिहाज़ा मुतवफ़्फ़िया की बाक़ी वसियत उसमें से जारी होगी और मूसा'लहू जिसको सुलुस् मिला था उसका निस्फ़ पूरा करने के लिये इस बक़िया सुलुस् में से एक हिस्सा देकर उसका निस्फ़ पूरा कर दिया जायेगा अब बाक़ी बचा एक सुदुस (छठा हिस्सा) वह बैतुल'माला में जमअ् होगा क्योंकि उसका कोई वारिस् नहीं है। (आलमगीरी जि.6 स.105)

मसअ्ला.24:– शौहर का इन्तिक़ाल हुआ वारिसों में उसने एक बीवी छोड़ी और अपने कुल माल की किसी अजनबी के लिये वसियत करदी लेकिन उसकी ज़ौजा ने इस वसियत को जाइज़ न कहा तो उसका कुल माल छः हिस्सों में तक़सीम होकर एक हिस्सा ज़ौजा को और पाँच हिस्सा अजनबी को मिलेंगे जिसके हक़ में कुल माल की वसियत की थी, माले तर्का की तक़सीम इस तरह होगी कि कुल माल के छः हिस्से करके पहले उसमें से एक सुलुस यानी दो हिस्से अजनबी को मिलेंगे क्योंकि वसियत विरासत पर मुक़द्दम है बक़िया चार हिस्सों में से एक रुबअ् बीवी को मिलेगा बाक़ी रहे तीन हिस्से यह भी अजनबी को मिल जायेंगे क्योंकि वसियत बैतुल'माल पर भी मुक़द्दम है(आलमगीरी)

मसअ्ला.25:– यह वसियत की मेरा सुलुस् माल फ़ुलां के बेटों के लिये है और ब'वक़्ते वसियत फ़ुलाँ के बेटे नहीं थे बाद में पैदा हुए इसके बाद मूसी (वसियत करने वाले) का इन्तिक़ाल हुआ तो उसका तिहाई माल उस फ़ुलाँ के बेटों में तक़सीम होगा और अगर ब'वक़्ते वसियत फ़ुलाँ के बेटे मौजूद थे लेकिन वसियत करने वाले ने न उन बेटों के नाम लिये न उनकी तरफ़ इशारा किया (यानी इस तरह कहना कि उन बेटों के लिये) तो यह वसियत उन बेटों के हक़ में नाफ़िज़ होगी जो मूसा'लहू की मौत के वक़्त मौजूद होंगे ख़्वाह यह बेटे वही हों जो ब'वक़्ते वसियत मौजूद थे या वह बेटे मर गये हों और दूसरे पैदा हुए और अगर ब'वक़्ते वसियत फ़ुलाँ के बेटों में स हर एक का नाम लिया था या उनकी तरफ़ इशारा करदिया था तो यह वसियत ख़ास् उन्हीं के हक़ में होगी अगर उनका इन्तिक़ाल मूसी की मौत से पहले होगया तो वसियत बातिल ठहरेगी।(आलमगीरी जि.6 स.105)

मसअ्ला.26:– यह वसियत की कि मेरा सुलुस् माल अ़ब्दुल्लाह और ज़ैद और अ़म्र के लिये है और अ़म्र को इस में से सौ रुपये दें और उसका तिहाई माल कुल सौ ही रुपये हैं तो यह कुल अ़म्र को मिलेगा और अगर इसका तिहाई माल एक सौ पचास रुपये है तो इस सूरत में सौ रुपये अ़म्र को और बाक़ी पचास में आधा आधा अ़ब्दुल्लाह और ज़ैद को मिलेंगे।(आलमगीरी जि.6 स.105)

मसअ्ला.27:– किसीके लिये सुलुस् माल की वसियत करदी और वसियत करने वाले की मिल्कियत में ब'वक़्ते वसियत कोई माल ही न था बाद में उसने कमा लिया तो ब'वक़्ते मौत वह जितने माल का मालिक है उसका सुलुस् मूसा'लहू (जिस के हक़ में वसियत की) को मिलेगा जब कि मूसा'बिही शय मुअय्यन और नोअ् मुअय्यन न हो। (आलमगीरी जि.6 स.106)

मसअ्ला.28:– अगर किसी ने अपने माल में से किसी ख़ास् क़िस्म के माल के सुलुस् हिस्से की वसियत की मस्लन कहा कि मेरी बकरियों या भेड़ों का तिहाई हिस्सा फ़ुलाँ को दिया जाये और यह बकरियाँ या भेड़ें मूसी की मौत से पहले हलाक होजायें तो यह वसियत बातिल होजायेगी हत्ता कि उसने उनके हलाक होने के बाद दूसरी बकरियाँ या भेड़ें ख़रीदी तो मूसा'लहू का उन बकरियों या भेड़ों में कोई हिस्सा नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.106)

मसअ्ला.29:– वसियत करने वाले ने वसियत की कि फ़ुलाँ के लिये मेरे माल से एक बकरी है और उसके माल में बकरी मौजूद नहीं तो मूसा'लहु को बकरी की क़ीमत दी जायेगी और अगर यह कहा था कि फ़ुलाँ के लिये एक बकरी है यह नहीं कहा था कि "मेरे माल से" और उसकी मिल्कियत में

बकरी नहीं है तो ब'क़ौले बाज़ वसियत सहीह नहीं और बक़ौले बाज़ वसियत सहीह है और अगर यूँ वसियत की कि फुलाँ के लिये मेरी बकरियों में से एक बकरी है और इस की मिल्कियत में बकरी नहीं है तो वसियत बातिल ठहरेगी इसी उसूल पर गायें, भैंस और ऊंट के मसाइल का इस्तिख़राज किया जायेगा। (आलमगीरी जि.6 स.106)

मसअ्ला.30:– यह वसियत की कि मेरे माल का तिहाई हिस्सा सदक़ा कर दिया जाये और किसी शख़्स ने वसी से वह माल ग़स्ब कर लिया और ज़ाइअ् करदिया और वसी यह चाहता है कि वसियत के इस माल को इस ग़ासिब पर भी सदक़ा करदे और ग़ासिब इस माल का इक़रारी है तो यह जाइज़ है। (आलमगीरी जि.6 स.106)

मसअ्ला.31:– वसियत करने वाले ने कहा कि मैं ने तेरे लिये अपने माल से एक बकरी की वसियत की तो इस वसियत का तअ़ल्लुक़ उस बकरी से न होगा जो वसियत करने के दिन उसकी मिल्कियत में थी बल्कि उसका तअ़ल्लुक़ उस बकरी से होगा जो मूसी की मौत के दिन उसकी मिल्कियत में होगी और जब यह वसियत सहीह है तो मूसी की मौत के बाद अगर उसके माल में बकरी है तो वारिसों को इख़्तियार है अगर वह चाहें तो मुसा'लहू को बकरी देदें या चाहें तो बकरी की क़ीमत देदें। (आलमगीरी जि.6 स.106)

मसअ्ला.32:– एक शख़्स ने कहा कि मेरा सुर्ख़ रंग का अ़ज्मियुन्नस्ल घोड़ा फुलाँ के लिये वसियत है तो यह वसियत उसमें जारी होगी जिसका वह वसियत के दिन मालिक था न कि उस में जो वह बाद में हासिल करले हाँ अगर उसने यह कहा कि मेरे घोड़े फुलाँ के लिये वसियत हैं और उनकी तअ़ईन या तख़सीस न की तो इस सूरत में वसियत ब'वक़्ते वसियत मौजूद घोड़ों और बाद में हासिल किये जाने वाले घोड़ों दोनों को शामिल होगी। (आलमगीरी जि.6 स.160)

मसअ्ला.33:– अगर किसी ने अपने सुलुस् माल की फुलाँ शख़्स और मसाकीन के लिये वसियत की तो इस सुलुस् माल का निस्फ़ फुलाँ को दिया जायेगा और निस्फ़ मसाकीन को(आलमगीरी स.6 जि.106)

मसअ्ला.34:– किसी ने अपने सुलुस् माल की वसियत एक शख़्स के लिये की फिर दूसरे शख़्स से कहा कि मैंने तुझे इस वसियत में उसके साथ शरीक क़र दिया तो यह सुलुस् उन दोनों के लिये है और अगर एक के लिये सौ रुपये की वसियत की और दूसरे के लिये सौ की फिर तीसरे शख़्स से कहा कि मैंने तुझे उन दोनों के साथ शरीक किया तो तीसरे के लिये हर सौ में तिहाई हिस्सा है(आलमगीरी)

मसअ्ला.35:– किसी अजनबी शख़्स और वारिस् के लिये वसियत की तो अजनबी को वसियत का निस्फ़ हिस्सा मिलेगा और वारिस् के हक़ में वसियत बातिल ठहरेगी, इस तरह अपने क़ातिल और अजनबी के हक़ में वसियत की थी तो वसियत क़ातिल के हक़ में बातिल और अजनबी को निस्फ़ हिस्सा मिलेगा।(आलमगीरी जि.6 स.106) इसके बर'ख़िलाफ़ अजनबी या वारिस् के लिये ऐन (नक़द) या दैन का इक़रार किया तो अजनबी के लिये सहीह नहीं और वारिस् के लिए सहीह है।(आलमगीरी जि.6 स.106)

मसअ्ला.36:– मुतअ़द्दिद कमरों पर मुश्तमिल एक मकान दो आदमियों के दरम्यान मुश्तरक है उनमें से एक ने किसी के लिये एक मुअ़य्यन कमरे की वसियत करदी तो मकान तक़सीम किया जायेगा पस अगर वह मुअ़य्यन कमरा मूसी के हिस्से में आगया तो वह मूसा'लहू को देदिया जायेगा और अगर वह मुअ़य्यन कमरा दूसरे शरीक के हिस्से में आया तो मूसा'लहू को बक़द्र कमरे के ज़मीन मिलेगी। (आलमगीरी जि.6 स.107, दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार जि.5 स.473)

मसअ्ला.37:– वारिस् ने इक़रार किया कि उसके बाप ने फुलाँ के लिये सुलुस् माल की वसियत की और कुछ गवाहों ने गवाही दी कि उसके बाप ने किसी दूसरे के लिये सुलुस् माल की वसियत की तो फ़ैसला गवाहों की गवाही के मुताबिक़ होगा और वारिस् ने जिसके लिये इक़रार किया उसे कुछ न मिलेगा। (आलमगीरी जि.6 स.107)

मसअ्ला.38:– अगर किसी वारिस् ने इक़रार किया कि उसके बाप ने अपने सुलुस् माल की

वसियत फुलाँ के लिये की फिर उसके बाद कहा कि बल्कि उसकी वसियत फुलाँ के लिये की तो इस सूरत में जिसके लिये पहले इक़रार किया उसको मिलेगा और दूसरे के लिए कुछ नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.107) और अगर उसने दोनों के लिए मुत्तसिलन बिला फ़स्ल (दोनों को मिलाकर एक साथ) इक़रार किया तो सुलुस् माल दोनों के मा'बैन निस्फ़–निस्फ़ कर दिया जायेगा। (आलमगीरी जि.6 स.107)

मसअ्ला.39:– वारिस् तीन हैं और माल तीन हज़ार है हर वारिस् ने एक एक हज़ार पाया फिर उनमें से एक ने इक़रार किया कि उस के बाप ने फुलाँ के लिये सुलुस् माल की वसियत की थी और बाक़ी दो वारिसों ने इन्कार किया तो इक़रार करने वाला अपने हिस्से में से एक तिहाई इस को देगा जिसके लिये उसने इक़रार किया। (आलमगीरी जि.6 स.107)

मसअ्ला.40:– अगर दो बेटों में से एक ने तक़सीमे तर्का के बाद इक़रार किया कि मरहूम बाप ने सुलुस् माल की वसियत फुलाँ के लिये की थी तो इसका इक़रार सहीह है और इस इक़रार करने वाले ही के हिस्से के सुलुस् में नाफ़िज़ होगी। (दुर्रेमुख़्तार) और यही हुक्म इस सूरत में है कि जबकि इसके कई बेटों में से एक ने इक़रार किया हो तो इक़रार करने वाले के हिस्से के सुलुस् में वसियत नाफ़िज़ होगी। (मजमअ् व रद्दुल'मुहतार जि.5 स.473)

मसअ्ला.41:– वारिस् दो हैं और माल एक हज़ार नक़्द है और एक हज़ार उनमें से एक पर उधार है फिर उस वारिस् ने जिस पर उधार नहीं है इक़रार किया कि उसके बाप ने किसी के हक़ में एक सुलुस् की वसियत की थी तो उस एक हज़ार नक़्द में से तिहाई हिस्सा लेकर मूसा'लहू को दिया जायेगा और इक़रार करने वाले को बाक़ी दो तिहाई मिलेगा। (आलमगीरी जि.6 स.107)

तम्बीहः– मूसा'बिही से पैदा होने वाली कोई भी ज़्यादती जैसे बच्चा, या ग़ल्ला वग़ैरा अगर मूसी की मौत के बाद और मूसा'लहू की क़बूले वसियत से पहले हो तो ज़्यादती और इज़ाफ़ा मूसा'बिही में शुमार होगा और सुलुस् माल में शामिल होगा लेकिन अगर यह इज़ाफ़ा और ज़्यादती मूसा'लहू के क़बूले वसियत के बाद मगर माल तक़सीम होने से पहले हो तब भी वह मूसा'लहू में शामिल होगी (आलमगीरी ब'हवाला मुहीतुस्सर्ख़सी जि.6 स.107) मिसाल के तौर पर एक शख़्स के पास छः सौ दिरहम और एक लौन्डी क़ीमती तीन सौ दिरहम की हैं उसने किसी आदमी के लिये लौन्डी की वसियत की और मरगया फिर लौन्डी ने एक बच्चा जना जिसकी क़ीमत तीन सौ दिरहम के बराबर है पस यह विलादत अगर तक़सीमे माल और क़बूले वसियत से पहले हुई तो मूसा'लहू को वसियत में वह लौन्डी मिलेगी और उस बच्चे का तिहाई हिस्सा, और अगर मूसा'लह के वसियत क़बूल करने के बाद और माल तक़सीम होजाने के बाद विलादत हुई तो बिला इख़्तिलाफ़ मूसा'लहू की मिल्कियत है और अगर मूसा'लहू ने वसियत क़बूल करली थी और माल अभी तक़सीम न हुआ था कि लौन्डी के बच्चा पैदा होगया तब भी वह मूसा'बिही में शामिल होगा जैसाकि क़बूले वसियत से क़ब्ल की सूरत में वह मूसा बिही में शामिल किया गया था और अगर लौन्डी ने मूसी की मौत से पहले बच्चा जना तो वह वसियत में दाख़िल न होगा। (काफ़ी अज़ आलमगीरी जि.6 स.108)

बेटे का अपने मरज़ुल मौत में अपने बाप की वसियत को जाइज़ और अपने ऊपर या अपने बाप के ऊपर दैन (उधार)का इक़रार करने का बयान

मसअ्ला.1:– एक शख़्स का इन्तिक़ाल हुआ और उसने तीन हज़ार रुपये और एक बेटा छोड़ा और दो हज़ार रुपये की किसी शख़्स के लिये वसियत की फिर बेटे ने अपने मर्ज़ुल'मौत में इस वसियत को जाइज़ कर दिया और मरगया और बेटे का ब'जुज़ इस वारिस् के और कोई माल भी नहीं तो इस सूरत में मूसा'लहू एक हज़ार रुपये तो बेटे की इजाज़त के बिग़ैर ही पाने का मुस्तहक़ है और बक़िया दो हज़ार में से एक सुलुस् और पायेगा जो कि बेटे के माल का तिहाई हिस्सा होता है(आलमगीरी जि.6)

मसअ्ला.2:– वारिस् की तरफ़ से मरज़ुल'मौत में अपने मूरिस् की वसियत को जाइज़ करना ब'मन्ज़िला वसियत करने के है इसी तरह मर्ज़ुल'मौत में अपनी मौत के बाद गुलाम को आज़ाद

[illegible] भी ब मन्ज़िला वसियत के है और जब दो वसियतें जमअ़ हों जिनमें से एक इत्क़ [illegible]
हो तो इत्क़ मुक़द्दम व औला है और दैन (यानी उधार) मुक़द्दम है वसियत पर।(आलमगीरी जि.6 स.108)

मसअ्ला.3:– वारिस् ने अगर ब'हालते सेहत व तन्दुरुस्ती अपने मूरिस् की वसियत को जाइज़ कर
दिया तो वह औला और मुक़द्दम है इत्क़ से, और उधार के इक़रार से और वसियत से [illegible]

मसअ्ला.4:– वारिस् ने अगर ब'हालते सेहत अपने बाप की वसियत को जाइज़ करदिया फिर अपने बाप
पर उधार होने का इक़रार किया तो पहले बाप की वसियत पूरी की जायेगी इसके बाद अगर कुछ बचेगा
तो उधार वालों को अदा किया जायेगा लेकिन वारिस् कमी की सूरत में उन उधार वालों के उधार की
कामिल अदायगी का ज़िम्मेदार होगा हाँ अगर वसियत पूरी करने के बाद इतना माल बच रहा है कि
उधार की कामिल अदायगी होजाये तो उधार का इक़रार करने के बाद वह इस की कामिल अदायगी का
ज़िम्मेदार है और अगर बचा हुआ माल कर्ज़ की अदायगी के लिये पूरा न हो तो इक़रार करने वाला
वारिस् इतना अदा करने का ज़ामिन होगा जितने का उसने इक़रार किया है। (आलमगीरी जि.5 स.108)

मसअ्ल.5:– एक शख़्स ने अपने बाप पर दैन का दअ्वा किया और मूसा'लहू ने मय्यित की तरफ से
दअ्वा किया कि उसने अपने बाप की वसियत को जाइज़ कर दिया है और उस शख़्स ने उन दोनों बातों
की तस्दीक़ की तो दैन की अदायगी मुक़द्दम होगी और वह साहिबे इजाज़त के लिये किसी चीज़ का
ज़िम्मेदार न होगा ख़्वाह उसने यह तस्दीक़ ब'हालते सेहत की हो या बहालते मर्ज़। (आलमगीरी जि.6 स.108)

मसअ्ला.6:– मरीज़ वारिस् ने अपने बाप की वसियत को जाइज़ किया फिर उसने अपने बाप पर
दैन (उधार) का इक़रार किया और अपनी ज़ात पर भी दैन का इक़रार किया तो पहले बाप का दैन
अदा किया जायेगा फिर उसका अपना दैन अदा किया जायेगा। (आलमगीरी जि.6 स.108)

मसअ्ला.7:– वारिस् ने अपने बाप की वसियत की इजाज़त देदी फिर अपनी ज़ात पर दैन का इक़रार
किया तो दैन मुक़द्दम व औला है पहले दैन अदा होगा उसके बाद देखा जायेगा अगर दैन की अदायगी के
बाद कुछ बच रहे तो अगर उस वारिस् के वुरसा ने इस वसियत को जाइज़ नहीं किया जिसको वारिस् ने
जाइज़ कर दिया था तो बक़िया माल का सुलुस् उस वसियत में दिया जायेगा। (आलमगीरी जि.6 स.108)

मसअ्ला.8:– एक मरीज़ जिसके पास दो हज़ार रुपये हैं और इसके पास उनके इलावा और कोई
माल नहीं उसका इन्तिक़ाल हुआ इसने किसी शख़्स के लिये उनमें से एक हज़ार रुपये की वसियत
करदी और एक दूसरे शख़्स के लिये बक़िया एक हज़ार की वसियत करदी और उसके वारिस् बेटे
ने इसकी उन दोनों वसियतों को यके बाद दीगरे अपनी बीमारी की हालत में जाइज़ कर दिया और
इस वारिस् बेटे के पास सिवाए उन दो हज़ार रुपये के जो विरासत में मिले और माल नहीं है तो
इस सूरत में उन दो हज़ार का तिहाई हिस्सा उन दोनों को निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम कर दिया जायेगा
जिनके लिये मय्यिते अव्वल ने वसियत की थी। (आलमगीरी जि.6 स.108)

मसअ्ला.9:– एक शख़्स के पास एक हज़ार दिरहम हैं उसने उनकी किसी शख़्स के लिये वसियत
करदी और इन्तिक़ाल करगया उसका वारिस् जो उसके माल का मालिक हुआ उसकी मिल्कियत में
भी एक हज़ार दिरहम थे (यानी उसके पास कुल दो हज़ार दिरहम होगये) फिर उस वारिस् ने किसी शख़्स
के लिये अपने ज़ाती एक हज़ार दिरहम की और उन एक हज़ार दिरहम की जो विरासत में मिले थे
दोनों की वसियत करदी फिर उस वारिस् का इन्तिक़ाल होगया और उसने अपना एक वारिस् छोड़ा
उसने अपने बाप और अपने दादा की वसियत को अपने मर्ज़ुल'मौत में जाइज़ कर दिया और मरगया
और उस मरने वाले का ब'जुज़ उस तर्का के और कोई माल नहीं तो इस सूरत में पहले वाले
मूसा'लहू को यानी दादा के मूसा'लहू को पहले एक हज़ार दिरहम का एक सुलुस् वसियत जाइज़
किये बिग़ैर ही मिलेगा फिर बाक़ी दो तिहाई को दूसरे एक हज़ार दिरहम में मिला दिया जायेगा और
इस मजमूआ़ का एक सुलुस् मूसा'लहू दोम को यानी उस मय्यित के बाप के मूसा'लहू को मिलेगा
और यह भी मय्यित को जाइज़ किये बिग़ैर ही देदिया जायेगा। यह सुलुस् अदा करने के बाद इस

तीसरी मय्यित के बकिया माल को देखा जाये और उसे मूसा लहू अव्वल, मूसा लहू दोम के दरम्यान वसियत जाइज़ कर देने के बाद बकद्र अपने अपने बकिया हिस्से के तक़सीम कर दिया जायेगा।(आलमगीरी)

किस हालत में वसियत मोअ़तबर है

मसअ्ला.1:– मरीज़ ने किसी औरत के लिये दैन (उधार) का इक़रार किया या उसके लिये वसियत की या उसे कुछ हिबा किया उसके बाद फिर उससे निकाह कर लिया इसके बाद उस मरीज़ का इन्तिक़ाल होगया तो उसका इक़रार जाइज़ है और वसियत और हिबा बातिल है।(आलमगीरी जि.6 स.109)

मसअ्ला.2:– मरीज़ ने अपने काफ़िर बेटे या गुलाम के लिये वसियत की या उसे कुछ हिबा किया और सौंप दिया या उसके लिये दैन का इक़रार किया बाद में वह काफ़िर बेटा मुसलमान होगया या गुलाम आज़ाद होगया और यह मरीज़ की मौत से पहले होगया तो यह वसियत या हिबा या इक़रार बातिल होजायेगा। (काफी अज आलमगीरी जि.6 स.109)

मसअ्ला.3:– मरीज़ ने वसियत की इस हालत में कि वह ज़ोअ़फ़ व नाताक़ती(कमजोरी)की वजह से बात करने पर क़ादिर न था उसने सर से इशारा किया और यह मालूम हो कि अगर उसका इशारा समझ लिया गया तो वह जान लेगा कि उसका इशारा समझ लिया गया है तो उसकी वसियत जाइज़ है वरना नहीं। यह उस सूरत में है कि वह मरीज़ कलाम करने पर क़ुदरत हासिल होने से क़ब्ल ही इन्तिक़ाल कर जाये क्योंकि इस सूरत में यह ज़ाहिर होगा कि उसके कलाम करने से ना'उम्मीदी होगई लिहाज़ा वह आख़िरी यानी गूंगे की तरह है(खिज़ानतुल मुफ़तीन अज़ आलमगीरी जि.6 स.109)

मसअ्ला.4:– जिसके हाथ मारे गये हों या जिसके पैर मारे गये हों, फालिज'ज़दा और तपे'दिक़ का मारा जबकि उनके अमराज़ को लम्बी मुद्दत गुज़र जाने और उन मर्ज़ों की वजह से मौत का अन्देशा न रहे तो यह सब सहीहुल'जिस्म के हुक्म में हैं कि अगर यह अपना तमाम माल हिबा करदें तो हिबा करना सहीह है लेकिन अगर दोबारा उनको मर्ज़ हो तो वह ब'मन्ज़िला–ए–नये मर्ज़ के है अगर उस वक़्त उनकी मौत का अन्देशा हो तो यह उन का मर्ज़ुल'मौत होगा लिहाज़ा ऐसी सूरत में उनका हिबा करना सिर्फ़ तिहाई माल में मोअ़तबर होगा यानी वह अपना तिहाई माल हिबा कर सकते हैं ज़्यादा नहीं। (काफी अज आलमगीरी जि.6 स.109) अगर उसे इन अमराज़ में से कोई मर्ज़ लाहिक़ हुआ और वह साहिबे फराश हुआ तो यह उस का मर्ज़ुल'मौत होगा और उसका हिबा सुलुस् माल में जारी होगा। (काफी अज़ आलमगीरी जि.6 स.109)

मसअ्ला.5:– किसी ने वसियत की फिर उस पर जुनून तारी होगया अगर उसका जुनून मुतबक़ है (यानी हमा वक़्त मुस्तकिल है) तो मुआमला क़ाज़ी की राय पर है अगर वह उस की वसियत को जाइज़ क़रार दे तो जाइज़ है वरना बातिल और अगर जुनून से अच्छा होने की मीआ़द मुक़र्रर करने की ज़रूरत हो तो फ़तवा इस पर है कि हक़्क़े तसर्रुफ़ात में जुनूने मुतबक़ की मुद्दत एक साल मुक़र्रर की जाती है। (खिज़ानतुल मुफ़तीन अज़ आलमगीरी जि.6 स109)

मसअ्ला.6:– जो शख़्स क़ैदख़ाने में महबूस है क़िसास में क़त्ल किया जाये या रज्म (संगसार) किया जाये वह मरीज़ के हुक्म में नहीं है। (आलमगीरी) लेकिन जब वह क़त्ल करने के लिये निकाला जाये इस हालत में वह मरीज़ के हुक्म में दाख़िल है। (आलमगीरी जि.6 स.109)

मसअ्ला.7:– जो शख़्स मैदाने कारज़ार में क़िताल करने वालों की सफ़ में हो वह सहीह व तन्दुरुस्त के हुक्म में है लेकिन जब वह जंग व क़िताल शुरूअ् करदे तो मरीज़ के हुक्म में है(आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– जो शख़्स कश्ती में सफ़र कर रहा है उसका हुक्म सहीह व तन्दुरुस्त आदमी का है लेकिन अगर दरया में ज़ब्र'दस्त तमव्वुज (मंझधार) हो कि कश्ती डूब जाने का अन्देशा हो तो इस हालत में वह मरीज़ के हुक्म में है। (आलमगीरी जि.6 स.109)

मसअ्ला.9:– क़ैदी क़त्ल के लिये लाया गया लेकिन क़त्ल नहीं किया गया क़ैदख़ाना वापस भेज दिया गया या जंग करने वाला जंग के बाद ब'ख़ैरियत अपनी सफ़ में वापस आगया या दरिया का तमव्वुज ठहर गया और कश्ती सलामत रही तो उन सूरतों में इस शख़्स का हुक्म उस मरीज़ जैसा

है जो अपने मर्ज़ से शिफ़ा पागया, अच्छा होगया अब इस के तमाम तसर्रुफ़ात इस के तमाम माल में नाफ़िज़ होंगे। (शरहुत्तहावी अज आलमगीरी जि.6 स 109)
मसअ्ला.10:– मजज़ूम (कोढ़ी) और बारी से निजात वाला ख़्वाह चौथे दिन बुख़ार आता हो या तीसरे दिन यह लोग अगर साहिबे फ़राश हों तो उस मरीज़ के हुक्म में हैं जो मर्ज़ुल मौत में है...
मसअ्ला.11:– किसी शख़्स पर फ़ालिज गिरा और उसकी ज़बान जाती रही यानी बेकार होगई या कोई शख़्स बीमार हुआ और कलाम करने पर कुदरत नहीं फिर उसने कुछ इशारे से कहा या कुछ लिख दिया और उसका यह मर्ज़ तवील हुआ यानी एक साल तक चलता रहा तो वह ब'मन्ज़िला गूंगे के है। (ख़िज़ानतुल मुफ़तीन अज आलमगीरी जि.6 स.109)
मसअ्ला.12:– औरत को दर्दे ज़ह (बच्चे की पैदाइश के वक्त दर्द) हुआ इस हालत में वह जो कुछ करे उसका निफ़ाज़ सुलुस् माल में होगा और अगर वह इस दर्देज़ेह से जांबर होगई (मरगई) तो जो कुछ उसने किया पूरा पूरा नाफ़िज़ होगा। (शरहुत्तहावी अज आलमगीरी जि.6 स.109)

कौनसी वसि़यत मुक़द्दम है कौनसी मुअख़्ख़र

मसअ्ला.1:– जब मुतअ़द्दिद वसि़यतें जमअ् होजायें तो इस में बहुत सी सूरतें हैं अगर सुलुस् माल से वह तमाम वसि़यतें पूरी हो सकती हैं तो वह पूरी करदी जायेगी और अगर सुलुस् माल में वह तमाम वसि़यतें पूरी नहीं हो सकतीं लेकिन वुरसा़ ने उनको जाइज़ करदिया तब भी वह तमाम वसि़यतें अदा की जायेंगी लेकिन अगर वुरसा़ ने इजाज़त न दी तो देखा जायेगा कि आया वह तमाम वसि़यतें अल्लाह तआ़ला के लिये हैं या बाज़ तक़र्रुब इलल्लाह (अल्लाह तआ़ला का कुर्ब हासिल करने) के लिये और बाज़ बन्दों के लिये या कुल वसि़यतें बन्दों के लिये हैं अगर कुल वसि़यतें अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल के लिये हैं तो देखा जायेगा कि आया वह कुल एक ही दर्जा के फ़राइज़ से हैं या कुल वसि़यतें वाजिबात से हैं या कुल की कुल नवाफ़िल से हैं अगर कुल वसि़यतें एक ही दर्जा के फ़राइज़ से हैं तो पहले वह वसि़यतें पूरी की जायेंगी जिसका ज़िक्र मूसी ने पहले किया(आलमगीरी)
मसअ्ला.2:– हज और ज़कात में अगर हज फ़र्ज़ है तो वह ज़कात पर मुक़द्दम है ख़्वाह मूसी ने ज़कात का ज़िक्र पहले किया हो और कफ़्फ़ारए क़त्ल और कफ़्फ़ारए यमीन में उस को मुक़द्दम किया जायेगा जिसको मूसी ने मुक़द्दम किया और माहे रमज़ान के रोज़े तोड़ने के कफ़्फ़ारा में और क़त्ले ख़ता के कफ़्फ़ारा में कफ़्फ़ारा–ए–क़त्ले ख़ता मुक़द्दम होगा(ख़िज़ानतुल मुफ़तीन अज आलमगीरी स.115)
मसअ्ला.3:– हज और ज़कात मुक़द्दम हैं कफ़्फ़ारात पर और कफ़्फ़ारात मुक़द्दम हैं स़दक़तुल फ़ित्र पर और स़दक़तुल'फ़ित्र मुक़द्दम है क़ुर्बानी पर, और अगर क़ुर्बानी से पहले मन्ज़ूर'बिही (जिसकी मिन्नत मानी गई) को ज़िक्र किया तो मन्ज़ूर'बिही मुक़द्दम है क़ुर्बानी पर और क़ुर्बानी मुक़द्दम है नवाफ़िल पर। (आलमगीरी) और उन सब पर एअ्ताक़ मुक़द्दम है ख़्वाह एअ्ताक़ मुन्जिज़ हो या एअ्ताक़ मुअ़ल्लक़ बिल'मौत हो। (आलमगीरी जि.6 स.115)
मसअ्ला.4:– हज की वसि़यत की और कुछ दीगर तक़र्रुब इलल्लाहि तआ़ला चीज़ों की वसि़यत की और मस्जिदे मुअ़य्यन के मुस़ालेह़ के लिये(मस्जिद की मरम्मत वगैरह के लिये)और किसी क़ौम के कुछ मख़्सूस व मुशख़्ख़स़ लोगों के लिये वसि़यत की और सुलुस् माल में यह सब पूरी नहीं हुई तो सुलुस् माल को उनके मा'बैन तक़सीम कर दिया जायेगा जितना माल मुशख़्ख़स़ व मुअ़य्यन लोगों को मिलेगा उसमें से वह अपना अपना हि़स्सा ले लेंगे और जितना माल तक़र्रुब इलल्लाह के हि़स्से में आयेगा अगर उनमें सिवाए हज के कोई दूसरा वाजिब नहीं है तो हज मुक़द्दम है अगर यह तमाम माल हज ही के लिये पूरा होगया तो तक़र्रुब इलल्लाहि तआ़ला की बक़िया वसि़यतें बाति़ल ठहरेंगी और अगर कुछ बच गया तो तक़र्रुब की वह वसि़यतें मुक़द्दम है जिस को मूसी ने पहले ज़िक्र किया(आलमगीरी जि.6)
मसअ्ला.5:– कुछ वसि़यतें अल्लाह तआ़ला के लिये हैं और कुछ बन्दों के लिये तो अगर मूसी ने क़ौम के ख़ास़ मुअ़य्यन लोगों के लिये वसि़यत की तो वह सुलुस् माल में शरीक हैं उनको सुलुस्

माल में जो हिस्सा मिलेगा वह तक़दीम व ताख़ीर उन सब के लिये है और जो हिस्सा सुलुस् माल में से अल्लाह तआला के तक़र्रुब के लिये मिलेगा उसमें फ़राइज़ मुक़द्दम होंगे फिर वाजिबात फिर नवाफ़िल। (आलमगीरी जि.6 स.115)

मसअला.6:– अगर यह वसियत की कि मेरा तिहाई माल हज, ज़कात, कफ़्फ़ारात में और ज़ैद के लिये है इस सूरत में सुलुस् माल चार हिस्सों में तक़सीम होगा एक हिस्सा मूसा'लहू ज़ैद के लिये एक हिस्सा हज के लिये एक हिस्सा ज़कात के लिये और एक हिस्सा कफ़्फ़ारात के लिये(आलमगीरी)

मसअला.7:– कुल वसियतें बन्दों के लिये हैं इस सूरत में अक़वा, ग़ैर अक़वा पर (यानी ज़्यादा ताक़तवर ग़ैर ताक़तवर पर) मुक़द्दम होगी इस का लिहाज़ न किया जायेगा कि मय्यित ने किस का ज़िक्र पहले किया था और किस का बाद में अगर वह सब कुव्वत में बराबर हों तो हर एक को सुलुस् माल में से ब'क़द्र इस के हक़ के मिलेगा और अव्वल व आख़िर का लिहाज़ न होगा(आलमगीरी)

मसअला.8:– अगर तमाम वसियतें नवाफ़िल की क़िस्म से हों और उनमें कोई चीज़ मख़्सूस व मुअय्यन न हो तो ऐसी सूरत में मय्यित ने जिसका ज़िक्र पहले किया वह मुक़द्दम होगी।(ज़ाहिरुर्रिवाया अज़ आलमगीरी जि.6 स.115) जैसे उसने वसियत की कि मेरा नफ़्ली हज करा देना या एक जान मेरी तरफ़ से आज़ाद कर देना या उसने वसियत की कि मेरी तरफ़ से ग़ैर मुअय्यन फ़ुक़रा पर सदक़ा कर देना तो इन सूरतों में जिस का ज़िक्र पहले किया वह पूरी की जायेगी। (आलमगीरी जि.6 स.115)

मसअला.9:– एक शख़्स ने वसियत की कि सौ दिरहम फ़ुक़रा को दिये जायें और सौ दिरहम अक़रबा (क़रीबी लोगों) को और उसकी छूटी हुई नमाज़ों के बदले में खाना खिलाया जाये, फिर उसका इन्तिक़ाल होगया और उस पर एक माह की नमाज़ें बाक़ी थीं और उसका सुलुस् माल तमाम वसियतों के लिये नाकाफ़ी है तो इस सूरत में सुलुस् माल को इस तरह तक़सीम किया जायेगा कि सौ दिरहम फ़ुक़रा पर और सौ दिरहम अक़रबा पर और उसकी हर नमाज़ के बदले निस्फ़ साअ् गेहूँ की जो क़ीमत हो उस पर, पस जो हिस्सा अक़रबा को पहुँचेगा वह उनको देदिया जायेगा और जो हिस्सा फ़ुक़रा और खाने का है उससे खाना खिलाया जाये और जो कमी पड़ेगी वह फ़ुक़रा के हिस्से में आयेगी। (फ़तावा क़ाज़ी ख़ाँ अज़ आलमगीरी जि.6 स.116)

मसअला.10:– हज्जतुल'इस्लाम यानी हज फ़र्ज़ की वसियत की तो यह हज मरने वाले के शहर से सवारी पर कराया जायेगा लेकिन अगर वसियत के लिये ख़र्च पूरा न हो तो वहाँ से कराया जाये जहाँ से ख़र्च पूरा होजाये और अगर कोई शख़्स हज करने के लिये निकला और रास्ते में इन्तिक़ाल होगया और उसने अपनी तरफ़ से हज अदा करने की वसियत की तो उसका हज उसके शहर से कराया जाये यही हुक्म उसके लिये है जो हज्जे बदल करने वाला हज के रास्ते में मरगया वह हज्जे बदल फिर उसके शहर से कराया जाये। (काफ़ी अज़ आलमगीरी जि.6 स.116)

अक़ारिब व हमसाया वग़ैराहुम के लिए वसियत का बयान

मसअला.1:– अक़ारिब के लिये वसियत की तो वह उस के ज़ी'रहम महरम में से दर्जा ब'दर्जा ज़्यादा क़रीब के लिये है और इसमें वालिदैन दाख़िल नहीं और यह वसियत एक से ज़्यादा के लिये है। (हिदाया जि.4 आलमगीरी जि.6 स.116) इमामे आज़म अबू'हनीफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु ने इस सिलसिले में छः चीज़ों का एअ्तिबार फ़रमाया है पहली यह कि इस लफ़्ज़ के मुस्तहक़ मूसी के ज़ी रहम महरम हैं। दूसरी यह कि उनके बाप और माँ की तरफ़ से होने में कोई फ़र्क़ नहीं। तीसरी यह कि वह वारिसों में से न हो। चौथी यह कि ज़्यादा क़रीब मुक़द्दम होगा और अब्अद अक़रब से महजूब (महरूम) होजायेगा (अबअद यानी दूर का रिश्तेदार जिसके बीच में फ़ासिला हो जैसे बाप के होते हुए दादा अक़रब क़रीब का रिश्तेदार जिसके बीच में किसी रिश्ते का फ़ासिला न हो जैसे बाप) पाँचवीं यह कि मुस्तहक़ दो या दो से ज़्यादा हों और छठी यह कि इस में वालिद और वलद दाख़िल नहीं।(हिदाया मअ'ल'किफ़ाया जि.4)

मसअला.2:– अक़ारिब के लिये वसियत की तो इसमें दादा और पोता दाख़िल नहीं।(आलमगीरी जि.6 स.117)

मसअला.3:– अक़ारिब के लिये वसियत की तो अगर दो चचा और दो मामूँ हैं और वह वारिस् नहीं कि मरने वाले का बेटा मौजूद है तो इस सूरत में यह वसियत दोनों चचाओं के लिये है दोनों मामूओं कि लिये नहीं। (बदाइअ् अज आलमगीरी जि.6 स.116)

मसअला.4:– अक़ारिब के लिये वसियत की और एक चचा और दो मामूँ हैं तो चचा को सुलुस् का निस्फ़ मिलेगा और निस्फ़ आख़िर दोनों मामूओं को। (हिदाया जि.4 व आलमगीरी जि.6 स.116) और अगर फ़क़त एक ही चचा है और ज़ी रहम महरम में से कोई और नहीं तो चचा को निस्फ़ सुलुस् और बाक़ी निस्फ़ सुलुस् वुरसा पर रद होगा। (बदाइअ)

मसअला.5:– अक़ारिब के लिये वसियत की और एक चचा और एक फूफी एक मामूँ और एक खाला छोड़े तो यह वसियत चचा और फूफी के दरम्यान बराबर तक़सीम की जायेगी।(आलमगीरी जि.6 स.116)

मसअला.6:– अपने ज़ी क़राबत या अपने रहम के लिये वसियत की और एक चचा और एक मामूँ छोड़े तो इस सूरत में अकेला चचा कुल वसियत का मालिक होगा। (आलमगीरी जि.6 स.116)

मसअला.7:– अपने अहले बैत के लिये वसियत की तो इसमें उसके मूरिसे आला (अकसल'अब फिल'इस्लाम) की तमाम औलाद शामिल होंगी यहाँ तक कि अगर मूसी अलवी है तो इस की वसियत में हर वह शख़्स शामिल होगा जो अपने बाप की तरफ़ से हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से मन्सूब है। (आलमगीरी जि.6 स116)

मसअला.8:– अपने नसब या हस्ब के लिये वसियत की तो वह उसके हर उस रिश्तेदार के लिये है जिसका नस्ब उसके मूरिसे आला (अकसा अल'अब)से साबित है। (आलमगीरी जि.6 स.116)

मसअला.9:– अपने सुलुस् माल की वसियत की अपने अहल के लिये या दोनों के अहल के लिये की तो यह ख़ास तौर से ज़ौजा के लिये है मगर इस्तिहसानन तमाम घर वालों के लिये है जो इस की एयालदारी में हैं और जिस के नफ़्क़ा का वह कफ़ील है लेकिन इसमें उसके गुलाम शामिल नहीं (आलमगीरी जि.6 स.116) और अगर उसके अहल दो शहरों में या दो घरों में रहते हैं वह भी इस वसियत में दाख़िल हैं। (तातार ख़ानिया अज आलमगीरी जि.6 स.117)

मसअला.10:– किसी ने यह कहा कि मैंने अपने सुलुस् माल की वसियत अपने क़राबतदारों और ग़ैर के लिये की तो यह कुल वसियत क़राबतदारों के लिये है। (आलमगीरी जि.6 स.117)

मसअला.11:– अपने भाईयों के लिये अपने सुलुस् माल की वसियत की तो उन तमाम भाईयों को मिलेगी जो उसके भाईयों की हैसियत से मशहूर हैं और उसकी तरफ़ मन्सूब हैं।(आलमगीरी जि.6 स.117)

मसअला.12:– एक शख़्स का इन्तिक़ाल हुआ उसने ज़ौजा छोड़ी और उस ज़ौजा के सिवा उसका कोई वारिस् नहीं उसने किसी अजनबी के लिये अपने तमाम माल की वसियत की और अपनी ज़ौजा के लिये जमीअ़े माल की वसियत की तो इस सूरत में अजनबी को पहले इसके तमाम माल का सुलुस् हिस्सा मिल जायेगा बक़िया दो सुलुस् का रुबअ् (चौथाई) मीरास् में बीवी को मिलेगा जो कि कुल का छठा हिस्सा बनता है बाक़ी रह गया निस्फ़ माल तो वह उस बीवी और अजनबी में बराबर आधा–आधा तक़सीम होगा (आलमगीरी जि.6 स.117) मिसाल के तौर पर मूसी ने बारह रुपये छोड़े उसमें से एक सुलुस् यानी चार रुपये तो अजनबी को बिला मुनाज़अ़त पहले ही मिल जायेंगे बाक़ी रहे दो सुलुस् यानी आठ रुपये इस का रुबअ् यानी दो रुपये बीवी को मीरास् में मिल जायेंगे जो कि कुल का छठा हिस्सा है अब बाक़ी रहा निस्फ़ माल यानी छः रुपये तो यह अजनबी और बीवी के मा'बैन आधे–आधे तक़सीम होंगे इस तरह बीवी को इस के माल से पाँच हिस्से और अजनबी को सात हिस्से मिलेंगे।(मुअल्लिफ़)

मसअला.13:– औरत का इन्तिक़ाल हुआ उसने अपने तमाम माल की शौहर के लिये वसियत की और उसका कोई दूसरा वारिस् नहीं और किसी अजनबी के लिये भी तमाम माल की वसियत की या दोनों के लिये निस्फ़–निस्फ़ माल की वसियत की इस सूरत में अजनबी को पहले कुल माल का एक सुलुस् मिलेगा बक़िया दो सुलुस् में से आधा मीरास् में शौहर को मिलेगा बाक़ी रहा एक सुलुस् इस के तीन हिस्से किये

जायेंगे उनमें से एक हिस्सा अजनबी को और दो हिस्से शौहर को मिलेंगे (फतावा काज़ीख़ाँ अज़ आलमगीरी जि.6 स.117) इस सूरत में इस का कुल माल अठारह हिस्सों में तक़सीम होगा पहले अजनबी को छः हिस्से यानी एक तिहाई मिलेगा बाक़ी रहे दो तिहाई यानी बारह हिस्से इस में से आधा यानी छः हिस्से शौहर को मिलेंगे बाक़ी रहे छः हिस्से जो कि कुल माल का एक सुलुस् है इस में से अजनबी को एक सुलुस् यानी दो हिस्से और शौहर को दो सुलुस् यानी चार हिस्से मिलेंगे इस तरह शौहर को बीवी के कुल माल में से दस हिस्से और अजनबी को आठ हिस्से मिलेंगे। (मुअल्लिफ़)

मसअ्ला.14:– औलादे फुलाँ के लिये वसियत की और फुलाँ के कोई सुल्बी औलाद ही नहीं तो इस वसियत में उसके बेटों की औलाद दाखिल होगी। (मुहीत अज आलमगीरी जि.6 स.118)

मसअ्ला.15:– फुलाँ के वुरसा के लिये वसियत की तो वसियत इस तरह तक़सीम होगी कि मुजक्कर को दो हिस्से और मुअन्नस को एक हिस्से। (हिदाया आलमगीरी जि.6 स.118)

मसअ्ला.16:– फुलाँ की बेटियों (बनात) के लिये वसियत की और उसके बेटे और बेटियाँ दोनों हैं तो वसियत ख़ास तौर से बेटियों की लिये है और अगर उसके बेटे हैं और पोतियाँ हैं तो वसियत पोतियों के लिये है। (आलमगीरी जि.6 स.118)

मसअ्ला.17:– फुलाँ फुलाँ के आबा (बापों) के लिये वसियत की और उनके आबा व उम्महात (बाप और मायें) दोनों हैं तो यह दोनों वसियत में दाख़िल हैं लेकिन अगर उनके आबा और उम्महात (माँ बाप) नहीं बल्कि दादा और दादियाँ हैं तो यह वसियत में दाख़िल नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.118)

मसअ्ला.18:– आले फुलाँ के लिये वसियत की तो यह उसके तमाम घर वालों के लिये है(हिदाया जि.4) मगर उसमें बेटियों और बहनों की औलाद दाखिल नहीं न ही माँ के क़राबतदार दाख़िल हैं(जैलई)

मसअ्ला.19:– अपने पड़ोसियें के लिये वसियत की तो इस में इमामे आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के नज़्दीक वह तमाम लोग शामिल हैं जो इसके घर से मिले हुए हों लेकिन साहिबैन के नज्दीक वह तमाम लोग शामिल हैं जो महल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। (दुर्रेमुख्तार जि.5 स.476)

मसअ्ला.20:– अपने पड़ोसियों के लिये सुलुस् माल की वसियत की अगर वह गिन्ती के हैं तो यह सुलुस् माल उनके अग़निया व फुक़रा दोनों में तक़सीम किया जायेगा यही उस वसियत का है जो अहले मस्जिद के लिये की जाये। (आलमगीरी जि.6 स.119)

मसअ्ला.21:– बनी फुलाँ के यतामा (फुलाँ खान्दान के यतीमों) के लिये वसियत की और वह गिन्ती के हैं तो वसियत सहीह है उन सब पर खर्च की जायेगी यही हुक्म उस वक़्त है जब यह कहे कि मैंने उस गली के यतामा या उस घर के यतामा के लिये वसियत की अगर वह गिन्ती के हैं तो ग़नी व फ़कीर दोनों पर ख़र्च होगी और अगर वह अनगिन्त हैं तो वसियत जाइज़ हैं इस सूरत में सिर्फ़ फुक़रा पर ख़र्च होगी। (आलमगीरी जि.6 स.119)

मसअ्ला.22:– फुलाँ ख़ान्दान की बेवाओं के लिये वसियत की वह ख़्वाह गिन्ती की हों या अन'गिन्त हों दोनों सूरतों में वसियत जाइज़ है अगर गिन्ती की हैं तो वसियत उनपर ख़र्च होगी और अगर अनगिन्त हैं तो जो मिल जायें उनपर ख़र्च होगी। (आलमगीरी जि.6 स.119)

मसअ्ला.23:– अपने पड़ोस या फुलाँ के पड़ोसी के लिये वसियत की और वह पड़ोसी अनगिन्त हैं तो वसियत बातिल है ऐसे ही अगर उसने अहले मस्जिद के लिए वसियत की या अहले जेल ख़ाना (क़ैदियों) के लिये वसियत की और वह अनगिन्त हैं तो वसियत बातिल है। (आलमगीरी जि.6 स.119)

मसअ्ला.24:– फुलाँ ख़ानदान के अन्धों के लिये वसियत की या फुलाँ ख़ानदान के लुन्जों (यानी अअ्ज़ा से अपाहिज) के लिये वसियत की या क़र्ज़दार या मुसाफ़िर या क़ैदियों के लिये अगर वह क़ाबिले शुमार हैं तो ग़नी और फ़क़ीर दोनों शामिल होंगे और अगर बे'शुमार हैं तो सिर्फ़ फुक़रा के लिये माले वसियत ख़र्च होगा। (आलमगीरी जि.6 स.119)

मसअ्ला.25:– अपने अस्हार यानी सुसराल वालों के लिये वसियत की तो यह वसियत उसकी बीवी

के हर जी रहम महरम के लिये है, इसी तरह उसमें इसके बाप की बीवी के जी रहम महरम भी दाखिल होंगे और इसके हर जी रहम महरम की जौजा भी दाखिल है, यह सब उस वक़्त दाखिल होंगे जब मूसी की मौत के दिन यह उस के सहर हों। (आलमगीरी जि.6 स.120) यानी मूसी की जौजा उसकी जौजियत में हो तलाके बाइन या तलाके मुगल्लजा से इद्दत में न हो अगर तलाके रजई की मुद्दत में है तो वह जौजियत में दाखिल है। (दुर्रेमुख़्तार रद्दुलमुहतार जि.5 स.473)

मसअ्ला.26:– अपने अखतान यानी दामादों के लिये वसियत की तो उस में उसके हर जी रहम महरम का शौहर दाखिल है जैसे बेटियों के शौहर, बहनों के शौहर, फूफियों के शौहर और खालाओं के शौहर (मुहीत अज आलमगीरी जि.6 स.120) बीवी की लडकी जो शौहरे अव्वल से है उसका शौहर मूसी के दामादों में शामिल नहीं। (काफ़ी व्यानिये अज आलमगीरी जि.6 स.120)

मसअ्ला.27:– औलादे रसूले पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिये वसियत की तो इस वसियत में सिर्फ औलादे इमामे हसन और इमामे हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हुमा दाख़िल होंगी(आलमगीरी जि.6 स.120)

मसअ्ला.28:– अलवियों की वसियत की तो यह वसियत जाइज़ नहीं क्योंकि वह बे शुमार हैं और वसियत में कोई ऐसा लफ्ज नहीं जो फकीर व हाजत मन्दी का इशारा करे हाँ अगर फुकराए अलवियों के लिये वसियत की तो जाइज़ है। (आलमगीरी जि.6 स.121)

मसअ्ला.29:– फुकहा के लिये वसियत की तो जाइज़ नहीं और अगर उनके फुक़रा के लिये वसियत की तो जाइज है इसी तरह अगर तलबा–ए–इल्म के लिए वसियत की तो ना'जाइज़ और अगर उन के फुक़रा के लिये की तो जाइज़ है। (आलमगीरी जि.6 स.121)

मसअ्ला.30:– किसी शहर के अहले इल्म के लिये वसियत की उसमें अहले फ़िक्ह और अहले हदीस (अहले हदीस से हदीस का इल्म जानने वाले मुराद हैं) शामिल हैं लेकिन अहले मन्तिक़ व अहले फ़लसफ़ा शामिल नहीं न ही इस में इल्मे कलाम पढ़ने वाले दाख़िल हैं हज़रत अबूक़ासिम फ़क़ीह से रिवायत है कि कुतुबे कलाम, कुतुबे इल्म नहीं।(आलमगीरी जि.6 स.121)

मसअ्ला.31:– अपने सुलुस् माल की वसियत की कि मेरा सुलुस् माल फुलाँ के लिये है और मुसलमानों में से एक शख़्स के लिये तो निस्फ़ सुलुस् फुलाँ को दिया जायेगा और इस शख़्स के लिये कुछ नहीं।(आलमगीरी जि.6 स.121)

मसअ्ला.32:– क़ब्र को लेपने, पोतने की वसियत की अगर यह हिफ़ाज़ते क़ब्र के लिये है तो जाइज़ और अगर तज़ईन के लिये है तो ना'जाइज़ और यही हुक्म मज़ारात पर कुब्बा बनाने का है खुसूसन औलिया'अल्लाह के मज़ारात पर बे'नियते आसाइशे ज़ाइरीन (जाइरीन के आराम के लिये) व तहसीने (हिफाज़ते क़ब्र)। (फतावा रज़विया जि.1 स.151 ब'हवाला दुर्रेमुख़्तार आलमगीरी व बज़ाज़िया)

मसअ्ला.33:– अपनी क़ब्र पर क़ुर्आन शरीफ़ पढ़ने की वसियत की यह वसियत जाइज़ है मगर उजरत पर जाइज़ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार रद्दुल'मुहतार जि.5 स.485)

मसअ्ला.34:– वसियत की कि मुझे मेरे घर में दफ़न करें तो यह वसियत बातिल है कि यह ख़ास है अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के लिये। उम्मत के हक़ में मशरूअ् नहीं(फतावा रजवि

मकान में रहने और ख़िदमत करने, दरख़्तों के फलों, बाग़ की आमदनी और ज़मीन की आमदनी और पैदावार की वसियत का बयान

मसअ्ला.1:– घर के किराये की आमदनी की वसियत की तो मूसा'लहू को उसमें रहने का हक़ नहीं और अगर ज़ैद के लिये एक साल तक अपने दार (घर) में सुकूनत की वसियत की और दार मूसी का और कुछ माल नहीं है तो ज़ैद उसमें से तिहाई दार में रहेगा और वुरसा दो तिहाई दार में वुरसा को इख़्तियार नहीं कि वह अपना मक़बूज़ा फ़रोख़्त करदें। (बदाइअ् अज आलमगीरी जि.6 स.122)

मसअ्ला.2:– यह कहा कि यह भूसा फुलां के जानवरों के लिये है तो यह वसियत बातिल है और अगर यह वसियत की फुलाँ के जानवरों को खिलाया जाये तो वसियत जाइज़ है।(आलमगीरी जि.6 स.1

मसअ्ला.3:– किसी शख़्स के लिये अपने घर में रहने की वसियत की और मुद्दत और वक़्त मुक़र्रर नहीं किया तो यह वसियत ता'हयात मूसा'लहू है। (आलमगीरी जि.6 स.122)

मसअ्ला.4:– किसी शख़्स के लिये अपने घर में रहने की वसियत की तो उसे उस घर को किराया पर देने का हक़ नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.122)

मसअ्ला.5:– किसी ने अपने बाग़ के मुहासिल व पैदावार की वसियत की तो मूसा'लहू के लिये उस के मौजूदा मुहासिल व पैदावार हैं और जो कुछ आइन्दा हों। (आलमगीरी जि.6 स.122) मलहूज़ रहे कि अरबी ज़बान में बुस्तान उस बाग़ को कहते हैं जिसकी चहार दीवारी बनी हो उस चहार दीवारी के अन्दर जो दरख़्त या ज़राअत हो वह सब बुस्तान में शामिल हैं और बाग़ से इन मसाइल में मुराद ऐसा ही बाग़ है। (मुअल्लिफ)

मसअ्ला.6:– किसी के लिये अपने बाग़ के फलों की वसियत की तो उसकी दो सूरतें हैं यह कहा कि हमेशा के लिये या हमेशा का लफ़्ज़ नहीं कहा अगर हमेशा का लफ़्ज़ नहीं कहा तो इसकी भी दो सूरतें हैं अगर उसके बाग़ में इसकी मौत के दिन फल लगे हैं तो मूसा'लहू के लिये इसके सुलुस माल में से सिर्फ़ उन्हीं फलों से दिया जायेगा और इसके बाद जो फ़ल आयेंगे मूसा'लहू का उनमें कोई हिस्सा न होगा और अगर मूसा'लहू की मौत के दिन बाग़ में फल नहीं लगे थे तो क़यास यह है कि यह वसियत बातिल मगर इस्तिहसान में वसियत बातिल नहीं बल्कि मूसा'लहू को उसकी ता'हयात उस बाग़ के फल मिलते रहेंगे। ब'शर्ते कि वह बुस्तान उस के सुलुस माल से ज़ाइद न हो, यह तमाम सूरतें उस वक़्त हैं जब मूसी ने वज़ाहत नहीं की और अगर उसने वज़ाहत करदी और यूँ कहा कि मैंने तेरे लिये हमेशा के वास्ते अपने बाग़ के फ़लों की वसियत की तो उसे मौजूदा फल भी मिलेंगे और जो बाद में पैदा होते रहें वह भी। (आलमगीरी जि.6 स.122)

मसअ्ला.7:– अपने बाग़ के फ़लों व पैदावार की हमेशा के लिये किसी के लिये वसियत की फिर उसके खजूर के दरख़्तों की जड़ों से और दरख़्त पैदा होगये तो उनकी पैदावार और मुहासिल भी वसियत में दाख़िल होंगे। (अलमुन्तका अज़ आलमगीरी जि.6 स.122)

मसअ्ला.8:– अपने बाग़ के फ़लों के सुलुस की वसियत की और मूसी का और कोई माल सिवाए इस बुस्तान (बाग़) के नहीं है तो यह वसियत जाइज़ है और मूसा'लहू इस का सुलुस पाने का मुस्तहक़ है अगर मूसा'लहू ने बाग़ का तिहाई हिस्सा वुरसा से तक़सीम कर लिया फिर उस हिस्से से आमदनी हुई जो मूसा'लहू के पास आया और वुरसा के हिस्से में आमदनी नहीं हुई या वुरसा के हिस्से में आमदनी हुई और मूसा'लहू के हिस्से में आमदनी नहीं हुई तो दोनों सूरतों में वह वुरसा और मूसा'लहू एक दूसरे के शरीक होंगे। (आलमगीरी जि.6 स.122)

मसअ्ला.9:– किसी के लिये सुलुस बुस्तान की वसियत की तो वुरसा के लिये जाइज़ है कि वह अपने हिस्से का दो सुलुस बुस्तान फ़रोख़्त करदें ऐसी सूरत में दो सुलुस का ख़रीदार मूसा'लहू के साथ शरीक होजायेगा। (आलमगीरी जि.6 स.123)

मसअ्ला.10:– एक शख़्स ने किसी के लिये अपनी ज़मीन की पैदावार की वसियत की और इस ज़मीन में खजूर के दरख़्त हैं और न कोई दरख़्त है और मूसी का इसके सिवा और माल भी नहीं है तो इसको किराये पर उठाया जायेगा और इस किराये का एक सुलुस मूसा'लहू को दिया जायेगा और अगर इस में खजूर के दरख़्त हैं और, और भी दरख़्त हैं तो उन दरख़्तों की पैदावार का सुलुस मूसा'लहू को मिलेगा। (आलमगीरी जि.6 स.123)

मसअ्ला.11:– वसियत करने वाले ने किसी के लिये अपनी बकरियों की ऊन की या अपनी बकरियों के बच्चों की या उनके दूध की हमेशा के लिये वसियत की तो उन तमाम सूरतों में मूसा'लहू को उन बकरियों का वही ऊन मिलेगा जो वसियत करने वाले की मौत के दिन उनके जिस्म पर है और वही बच्चे मिलेंगे जो मूसी की मौत के दिन उनके पेटों में हैं और वही दूध मिलेगा

जो मूसी की मौत के दिन उनके थनों में है ख़्वाह मूसी ने वसियत में हमेशा का लफ़्ज़ कहा या न कहा। (आलमगीरी जि.6 स.123)

मसअ्ला.12:– किसी शख़्स ने अपने बुस्तान (बाग़) की पैदावार की वसियत की फिर मूसा'लहू ने मय्यित के वुरसा से ग़ल्ले के एवज़ पूरा बाग़ ख़रीद लिया तो यह जाइज़ है इस सूरत में वसियत बातिल होजायेगी इसी तरह अगर वुरसा ने बाग़ उसको फ़रोख़्त नहीं किया लेकिन उन्होंने कुछ माल देकर कि मूसा लहू को अपने हिस्से के ग़ल्ले से बरी होने पर राज़ी कर लिया तो यह भी जाइज़ है। (आलमगीरी जि.6 स.123)

मसअ्ला.13:– अपने घर के किराये की मसाकीन में तक़सीम करने की वसियत की तो यह जाइज़ नहीं मगर यह कि मूसा'लहू मालूम हो। (आलमगीरी जि.6 स.123)

मसअ्ला.14:– मसाकीन के लिये अपने अंगूर के बाग़ की बहार की तीन साल तक के लिये वसियत की और मरगया और तीन साल तक उसके अंगूर के बाग़ में अंगूर की बहार न आई तो बाज़ के क़ौल पर यह बाग़ मौकूफ़ रहेगा जब तक इसकी तीन साल की बहार मसाकीन पर सदक़ा न करदी जाये फ़क़ीह अबुल्लैस रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने फ़रमाया यह क़ौल हमारे असहाब के मुताबिक़ है। (आलमगीरी जि.6 स.123)

मसअ्ला.15:– अपने जिस्म के लिबास की वसियत की तो यह जाइज़ है और मूसा'लहू को उसके जुब्बे, क़मीस, चादरें और पाजामें मिलेंगे उसकी टोपियाँ, मौज़े, जुर्राबें इस में शामिल न होंगे(आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– यह वसियत की कि यह कपड़े सदक़ा करदो तो यह जाइज़ है कि वह कपड़े फ़रोख़्त करके उनकी क़ीमत सदक़ा करदें या चाहें तो कपड़े फ़रोख़्त न करें रखलें और उनकी क़ीमत देदें। (आलमगीरी जि.6 स.123)

मसअ्ला.17:– किसी आदमी को यह वसियत की कि मेरी ज़मीन से दस जरेब (गट्ठा) ज़मीन हर साल काश्त करले इस सूरत में बीज, ख़िराज (माल'गुज़ारी) और आब'पाशी मूसा'लहू के ज़िम्मे होगी और अगर वसियत में यह कहा कि हर साल मेरी दस जरेब ज़मीन मेरे लिये काश्त करे इस सूरत में बीज, माल गुज़ारी और आब'पाशी मुतवफ़्फ़ा मूसी के माल से दिये जायेंगे। (आलमगीरी जि.6 स.124)

मसअ्ला.18:– किसी शख़्स के लिये खजूर के बाग़ की खजूरों की वसियत की जो कि तैयार थीं या काश्त की वसियत की जो काटे जाने के क़रीब थीं लेकिन फ़सल काटी नहीं गई थी तो मालगुज़ारी मूसा'लहू पर है लेकिन अगर बाग़ के फल तोड़ लिये गये और खेती काट ली गई तो मुतवफ़्फ़ा मूसा'लहू के माल से मालगुज़ारी दी जायेगी। (तातार ख़ानिया अज आलमगीरी जि.6 स.124)

मसअ्ला.19:– मूसी ने किसी के लिये अपनी तलवार की वसियत की तो उस में तलवार का परतला और हमाइल दाख़िल है। (आलमगीरी जि.6 स.124)

मसअ्ला.20:– किसी के लिये मुसहफ़ (क़ुर्आन पाक) की वसियत की और मुसहफ़ का ग़िलाफ़ भी है तो इसको मुसहफ़ मिलेगा ग़िलाफ़ नहीं। (क़ुदूरी अज़ आलमगीरी जि.6 स.124)

मसअ्ला.21:– सिरके के मटके की वसियत की तो इसमें मटका शामिल है और अगर जानवरों के घर (यानी वह घर जिस में जानवर रखे जाते हैं) की वसियत की तो वसियत दार (घर) की है इस में जानवर शामिल नहीं ऐसे ही खाने की कश्ती (टिरे) की वसियत की तो इसमें का खाना दिया जायेगा कश्ती (टिरे) नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.124)

मसअ्ला.22:– किसी के लिये मीज़ान (तराज़ू) की वसियत की तो इसमें उसका उमूद (डन्डी) पलड़े और उस की डसें (तराज़ू की डोरियां) शामिल हैं बाट, बट्टा और मुठिया(एलाक)(मूठ जहाँ से तराज़ू को पकडते हैं, शामिल नहीं लेकिन अगर तराज़ू मुअय्यन करदी तो इसमें बाट और एलाक़ भी शामिल होंगे(आलमगीरी जि.6)

मसअ्ला.23:– अपनी बकरियों में से किसी के लिये एक बकरी की वसियत की और यह नहीं कहा कि मेरी उन बकरियों में से, फिर वारिसों ने उसे वह बकरी दी जिसने मूसी की मौत के बाद बच्चा

जाना तो यह बच्चा बकरी के साथ शामिल न होगा यानी फ़क़्त बकरी मिलेगी। (आलमगीरी जि.6 स.124)
मसअ्ला.24:— और अगर यह कहा कि मैंने फुलाँ के लिये अपनी बकरी में से एक बकरी की वसियत की और वारिसों ने उस मूसा'लहू को वह बकरी दी जिसने मूसी की मौत के बाद बच्चा दिया तो वह बच्चा उस बकरी का ताबेअ् होगा यानी बकरी मअ् मूसा'लहू को दी जायेगी और अगर वारिसों ने बकरी मुअ़य्यन करने से पहले बच्चा ज़ाइअ् कर दिया यानी हलाक करदिया तो उन पर उसका ज़मान नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.124)
मसअ्ला.25:— दार (घर) की एक शख़्स के लिये वसियत की और उसकी बुनियाद की दूसरे के लिये या यह कहा कि यह अंगूठी फुलाँ के लिये है और उसका नगीना दूसरे के लिये या यह कहा कि यह कुन्डिया (जम्बील) फुलाँ के लिये और उसमें के फल फुलाँ के लिये तो उन तमाम सूरतों में अगर उसने मुत्तसिलन बिला फ़स्ल कहा तो हर शख़्स को वही मिलेगा जिसकी वसियत उसके लिये की और अगर मुत्तसिलन नहीं कहा बल्कि फ़स्ल किया तो इमाम अबू यूसुफ़ के नज़्दीक यही हुक्म है और इमाम मुहम्मद ने फ़रमाया कि अस्ल (यानी दार या अंगूठी या कुन्डिया) तन्हा पहले को मिलेगी और ताबेअ् में दोनों शरीक होंगे। (आलमगीरी जि.6 स.125 ब'हवाला काफी) यानी इस सूरत में घर तन्हा पहले को मिलेगा बिना मुश्तरक होगी कुन्डिया पहले को मिलेगी फल मुश्तरक होंगे और अंगूठी पहले को मिलेगी और नगीना मुश्तरक होगा।
मसअ्ला.26:— और अगर यह वसियत की कि यह घर फुलाँ के लिये है और इस में रिहाइश फुलाँ के लिये या यह दरख़्त फुलाँ के लिये है और इसका फल फुलाँ के लिये या यह बकरी फुलाँ के लिये और इसका ऊन फुलाँ के लिये तो जिसके लिये जो वसियत की उसको बिला इख़्तिलाफ़ वही मिलेगा ख़्वाह उसने यह मुत्तसिलन कहा हो या दरम्यान में फ़स्ल किया हो।(आलमगीरी जि.6 स.124)
मसअ्ला.27:— किसी शख़्स के लिये अपने दार (मकान) की वसियत की और उसमें बने हुए एक ख़ास बैत (कमरा) की वसियत किसी दूसरे के लिये की तो वह ख़ास मकान उन दोनों के दरम्यान बकद्र उनके हिस्से कि मुश्तरक होगा। (आलमगीरी जि.6 स.125)
मसअ्ला.28:— किसी के लिये मुअ़य्यना एक हज़ार दिरहम की वसियत की और उनमें से एक सौ दिरहम की दूसरे के लिये वसियत की तो एक हज़ार वाले को नौ सौ दिरहम मिलेंगे और सौ दिरहम दोनों के दरम्यान निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम होंगे। (आलमगीरी जि.6 स.125)
मसअ्ला.29:— अगर एक शख़्स के लिये मकान की वसियत की और उसकी बिना(बुनियाद)की दूसरे के लिये तो बिना उन दोनों के दरम्यान हिस्सा—ए—रसदी तक़सीम होगी। (आलमगीरी जि.6 स.125)
मसअ्ला.30:— मूसी ने अपने जानवर की एक शख़्स के लिये वसियत की और उसकी सवारी और मन्फ़अ़त की दूसरे के लिये वसियत की तो हर मूसा'लहू के लिये वही है जिसकी उसके लिये वसियत की। (मब्सूत अज़ आलमगीरी जि.6 स.125)
मसअ्ला.31:— एक शख़्स के लिये अपने घर के किराये की वसियत की और दूसरे के लिये इस में रहने की वसियत की और तीसरे शख़्स के लिये उसके रक़बा की वसियत की और यह एक सुलुस है पस किसी शख़्स ने मूसी की मौत के बाद उसको मुन्हदिम कर दिया तो जितना उसने गिराया है उसकी क़ीमत का तावान उस पर है फिर उस क़ीमत से मकान बनाये जायें जैसे बने हुए थे और अगर किराये पर दिया जाये तो जिसके लिये किराये की वसियत की उसे किराया और जिसके लिये सुकूनत की वसियत की उसे हक़्क़े सुकूनत मिलेगा यही हुक्म बुस्तान (बाग़) की वसियत का है कि उसने एक शख़्स के लिये बुस्तान की पैदावार की वसियत की और दूसरे के लिये उसके रक़बे की फिर किसी शख़्स ने उस में से दरख़्त काट लिये तो उसपर दरख़्तों की क़ीमत का तावान है इस क़ीम से दरख़्त ख़रीदकर लगाये जायेंगे। (आलमगीरी जि.6 स.127)
मसअ्ला.32:— मूसी ने एक शख़्स के लिये अपने बाग़ की आमदनी की वसियत की और दूसरे के

लिये बाग के रकबे की वसियत की और यह उसका सुलुस माल है तो बाग का रकबा उसके लिये है जिसके वास्ते रकबा की वसियत की और उसकी आमदनी उसके लिये जिस के वास्ते आमदनी की वसियत की जब तक मूसा'लहू जिन्दा है और इस सूरत में बाग की आब'पाशी मालगुजारी और उस की इस्लाह व मरम्मत आमदनी वाले पर है। (आलमगीरी जि.6 स.127)

मसअ्ला.33:– मूसी ने हमेशा के लिये अपनी बकरियों की ऊन की या उनके दूध की या उनके घी की या उनके बच्चों की किसी के लिये वसियत की तो यह वसियत सिर्फ उस ऊन में जारी होगी जो मूसी की मौत के दिन उन बकरियों की पीठों पर है या वह दूध जो उनके थनों में है या वह घी जो उनके थनों के दूध से बरआमद हो या वह बच्चे जो उनके पेट में हों जिस दिन कि मूसी की मौत हुई, उसकी मौत के बाद फिर जो कुछ पैदा होगा इसमें वसियत जारी न होगी. (आलमगीरी जि.6 स.127)

मसअ्ला.34:– मूसी ने किसी के लिये हमेशा के वास्ते अपने खजूरों के बाग के मुहासिल(आमदनी)की वसियत की और दूसरे के लिये इस बाग के रकबे की वसियत की और इस बाग में बहार (फल) नहीं आई तो इस सूरत में इसकी आब'पाशी और इसकी इस्लाह का खर्चा व मरम्मत साहिबे रकबा पर है फिर जब उस पर फल आजायें तो यह खर्चा आमदनी लेने वाले पर है और अगर एक साल फल आये फिर न आये तब भी उस की इस्लाह व खर्चा की जिम्मेदारी आमदनी लेने वोले पर है अगर आमदनी लेने वाले ने खर्चा न किया और साहिबे रकबा ने खर्चा किया यहाँ तक कि बाग में फल आगये तो साहिबे रकबा उससे अपना ख़र्चा वसूल करेगा। (मब्सूत अज आलमगीरी जि.6 स.127)

मसअ्ला.35:– यह वसियत की कि उन तिलों का तेल फुलाँ के लिये और उसकी खली दूसरे के लिये है तो तेल निकालने की ज़िम्मादारी उसकी है जिसके लिये तेल की वसियत की(आलमगीरी जि.6 स.127)

मसअ्ला.36:– अंगूठी के हल्के की एक शख़्स के लिये वसियत की और उसके नगीने की दूसरे के लिये तो यह वसियत जाइज़ है अगर उसका नग निकालने में अंगूठी के खराब होने का अन्देशा है तो देखा जायेगा अगर हल्के की कीमत नग से ज़्यादा है तो हल्का वाले से कहा जायेगा कि वह नग की कीमत अदा करे और अगर नग की कीमत ज़्यादा है तो नग वाले से कहा जायेगा कि वह अंगूठी के हल्के की कीमत अदा करे। (आलमगीरी जि.6 स.127)

मसअ्ला.37:– एक शख़्स ने किसी के लिये अपने बुस्तान (बाग) के उन फलों की वसियत की जो उसमें मौजूद हैं और उसने इसके लिये इसके फलों की हमेशा के लिये भी वसियत की इसके बाद मूसी का इन्तिक़ाल होगया और मूसी का इसके सिवा और माल नहीं है और बाग में फल सौ रुपये की कीमत के हैं और पूरे बाग की कीमत तीन सौ रुपये के मसावी है इस सूरत में मूसा'लहू के लिए बाग में मौजूद फलों का तिहाई हिस्सा है और आइन्दा जो फल आयेंगे उनमें से हमेशा इस को एक सुलुस मिलता रहेगा। (आलमगीरी जि.6 स.127)

मसअ्ला.38:– यह वसियत की कि मेरे माल से फुलाँ शख़्स पर हर माह पाँच दिरहम ख़र्च किये जायें तो उसके माल का एक सुलुस रख लिया जायेगा ताकि मूसा'लहू पर हर माह पाँच दिरहम खर्च किये जाते रहें जैसा कि मूसी ने वसियत की है। (मब्सूत अज आलमगीरी जि.6 स.128)

मसअ्ला.39:– एक शख़्स ने दो आदमियों के लिये वसियत की कि उनमें से हर एक पर मेरे माल से इतना इतना ख़र्च किया जाये तो उसका एक सुलुस माल उन दोनों पर ख़र्च के लिये रख लिया जायेगा फिर अगर वारिसों ने उनमें से किसी एक से कुछ देकर मुसालहत करली और वह वसियत से दस्त'बर्दार होगया तो इस सूरत में मूसी का कुल सुलुस माल दूसरे पर ख़र्च करने के लिये रख लिया जायेगा और वारिसों के हक़ में दस्त'बर्दारी देने वाले का हक़ वारिसों को न मिलेगा(मुहीत जि.6 स.127)

मसअ्ला.40:– एक शख़्स ने वसियत की कि मेरे माल में से फुलाँ शख़्स पर उसकी ता'हयात हर माह पाँच दिरहम ख़र्च किये जायें और एक दूसरे शख़्स के लिये अपने सुलुस माल की वसियत की और वुरसा ने इसकी इजाज़त देदी तो इस सूरत में उसका माल छः हिस्सों में तक़सीम होकर एक

हिस्सा मूसा'लहू सुलुस् (जिसके लिये तिहाई माल की वसियत की है) को मिलेगा और बाकी पाँच हिस्से महफूज़ रखे जायेंगे उनमें से पाँच दिरहम वाले पर हर माह पाँच दिरहम खर्च किये जायेंगे और यह शख़्स जिसके लिये पाँच दिरहम हर माह ख़र्च करने की वसियत की थी अपने हिस्से का महफूज़ रुपया ख़र्च होने से पहले ही मरगया तो जिसके लिये सुलुस् माल की वसियत की थी उसका सुलुस् पूरा किया जायेगा और यह सुलुस् माल उस दिन के हिसाब से लगाया जायेगा जिस दिन कि मूसी की मौत हुई लेकिन अगर माल का दो सुलुस् हिस्से से ज्यादा खर्च होचुका था और अब जो बाकी बचा उससे मूसा'लहू सुलुस् का सुलुस् पूरा नहीं होता तो इस सूरत में उस मरने वाले के हिस्से में से जो नफ़का बचा है वह उसे देदिया जायेगा और उसका सुलुस् पूरा नहीं किया जायेगा और अगर माल इतना बच गया था कि मूसा'लहू सुलुस् का सुलुस् पूरा होकर बचगया तो जो बाकी बचा वह मूसी के वुरसा को मिलेगा न कि उसके वुरसा को जिसके लिये पाँच दिरहम माहाना ख़र्च करने की वसियत की थी। (आलमगीरी जि.6 स.128)

मसअ्ला.41:— अगर दो आदमियों के लिये यह वसियत की कि उन दोनों पर उनकी ता'हयात मेरे माल से हर साल दस दिरहम ख़र्च किये जायें और एक तीसरे के लिये अपने सुलुस् माल की वसियत की तो अगर वुरसा ने इसकी इजाज़त दी तो इसका माल छः हिस्सों में तक़सीम होगा और अगर वुरसा ने इजाज़त न दी तो दो बराबर हिस्सों में तक़सीम होगा और अगर उन दोनों आदमियों से जिनके लिये ता'हयात दस दिरहम माहाना की वसियत की थी एक आदमी का इन्तिकाल हो गया तो उसका हिस्सा इस को नहीं मिलेगा जिसके सुलुस् माल की वसियत की थी बल्कि जो कुछ उन दो आदमियों के लिये महफूज़ रखा था वह वैसे ही महफूज़ रहेगा और उसे उस एक पर खर्च किया जायेगा जो उन दोनों में से ज़िन्दा बाकी है। (आलमगीरी जि.6 स.128 किताबुल'वसाया)

मसअ्ला.42:— अगर मय्यित ने यह वसियत की मैंने फुलां के लिये अपने सुलुस् माल की वसियत की और फुलाँ के लिये उस पर ता'हयात हर माह पाँच दिरहम ख़र्च करने की वसियत की और एक दूसरे के लिये ता'हयात उसकी उस पर पाँच दिरहम ख़र्च करने की वसियत की तो अगर वुरसा ने इसकी इजाज़त देदी तो उसका माल नौ हिस्सों में मुन्क़सिम होगा जिसके लिये सुलुस् माल की वसियत की उसको एक हिस्सा और बक़िया बाद वाले दोनों मूसा'लहुमा के लिये चार चार हिस्से महफूज़ रखे जायेंगे और उनपर हर माह ख़र्च होंगे। (आलमगीरी जि.6 स.128)

मसअ्ला.43:— अगर मय्यित ने वसियत की कि मेरे माल से फुलां पर उसकी ता'हयात पाँच दिरहम माहाना ख़र्च किया जाये और फुलाँ और फुलाँ पर उनकी ता'हयात दस दिरहम माहाना ख़र्च किये जायें, हर एक के लिये पाँच दिरहम और वुरसा ने इसकी इजाज़त देदी तो माल मूसा'लहू और मूसा लहुमा के दरम्यान निस्फ़–निस्फ़ तक़सीम होगा इस तरह कि जिसके लिये पाँच दिरहम माहाना की वसियत की उसे एक निस्फ़ और जिन दो के लिये दस दिरहम माहाना की वसियत की उन्हें दूसरा निस्फ़ इस तरह निस्फ़ माल पहले एक के लिये और निस्फ़ माल दूसरे दो के लिये महफूज़ रखा जायेगा और उनपर माह ब'माह ख़र्च होगा। (आलमगीरी जि.6 स.127) और अगर उस एक का इन्तिकाल होगया जिस एक के लिये पाँच दिरहम माहाना की वसियत की थी तो जो कुछ बचा वह उन पर ख़र्च होगा जिस दो के लिये दस दिरहम माहाना की वसियत की थी और अगर उन दोनों में से एक का इन्तिकाल होगया जिनके लिये एक साथ दस दिरहम माहाना की वसियत की थी और पाँच दिरहम वाला ज़िन्दा रहा तो इस सूरत में मरने वाले का हिस्सा इसके शरीक वसियत के लिये महफूज़ रखा जायेगा और इसपर ख़र्च किया जायेगा यह इस सूरत में जब वुरसा ने इजाज़त देदी और अगर वुरसा ने इजाज़त नहीं दी तो मय्यित का सुलुस् माल निस्फ़ निस्फ़ दो बराबर हिस्सों में तक़सीम होगा निस्फ़ सुलुस् इसको मिलेगा जिस एक के लिये पाँच दिरहम माहाना की वसियत की और निस्फ़ सुलुस् उन दोनों को मिलेगा जिन दोनों को एक साथ मिलाकर उनके लिये दस दिरहम माहाना की वसियत की। (आलमगीरी जि.6 स.129)

मसअ्ला 44:– एक शख़्स ने वसियत की कि मेरा सुलुस् माल फुलाँ के लिये रखा जाये और उसपर उसमें से हर माह चार दिरहम खर्च किये जायें जब तक कि वह जिन्दा रहे और मैंने वसियत की कि मेरा सुलुस् माल फुलाँ फुलाँ के लिये है उन दोनों पर हर माह ता'हयात उनकी दस दिरहम खर्च किये जायें तो अगर वुरसा ने इसकी इजाजत देदी तो चार दिरहम इस मय्यित के माल का कामिल सुलुस् (पूरा तिहाई हिस्सा) मिलेगा वह जो चाहे करे और दस दिरहम वाले दोनों को इस मय्यित के माल का दूसरा सुलुस् कामिल मिलेगा और यह सुलुस् उन दोनों के दरम्यान बराबर बराबर तक़सीम होगा और महफूज़ कुछ न रखा जायेगा और अगर उन तीनों मूसा'लहुम (जिन के लिये वसियत की गई) में से किसी का इन्तिक़ाल होगया तो उसके हिस्से का माल उस इन्तिकाल कर जाने वाले के वारिसों को मिलेगा और अगर वुरसा ने मय्यित की इस वसियत को जाइज़ नहीं किया तो इस सूरत में चार दिरहम वाले को निस्फ़ सुलुस् (तिहाई माल का आधा) मिलेगा और उन दोनों को जिनके लिये दस दिरहम माहाना की वसियत की थी निस्फ़ सुलुस् मिलेगा और यह निस्फ़ सुलुस् उन दोनों के मा'बैन आधा आधा बटेगा। (आलमगीरी जि.6 स.129)

मसअ्ला.45:– मय्यित ने कहा मैंने फुलाँ के लिये एक सुलुस् माल की वसियत की इस पर उसमें से हर माह चार दिरहम खर्च किये जायें और मैंने फुलाँ फुलाँ के लिये वसियत की कि फुलाँ पर पाँच दिरहम माहाना और फुलाँ पर तीन दिरहम, पस अगर वुरसा ने इसकी इजाज़त देदी तो चार दिरहम वाले को माहाना उसके कुल माल का एक सुलुस् मिलेगा और बक़िया दो को दो सुलुस् मिलेंगे और यह दो सुलुस् उन दोनों के दरम्यान निस्फ़–निस्फ़ तक़सीम होंगे, यह लोग अपने अपने हिस्से को जैसे चाहें इस्तेअ्माल करें, और अगर वुरसा ने इसकी उस वसियत को जाइज़ न किया तो चार दिरहम वाले को निस्फ़ सुलुस् मिलेगा और बक़िया दो को दूसरा निस्फ़ सुलुस् मिलेगा और यह उन के मा'बैन आधा आधा बंट जायेगा और अगर उनमें से किसी का इन्तिक़ाल होगया तो उसका हिस्सा उसके वारिसों को मीरास् में मिलेगा। (मुहीत अज आलमगीरी जि.6 स.129)

मसअ्ला.46:– मय्यित ने वसियत की कि फुलाँ पर मेरे माल से हर माह चार दिरहम ख़र्च किये जायें और एक दूसरे पर हर माह पाँच दिरहम मेरे बुस्तानी (चहार दीवारी वाला बाग) की आमदनी से खर्च किये जायें और मय्यित ने बजुज़ बुस्तान के और कोई माल नहीं छोड़ा तो इस सूरत में मय्यित का सुलुस् (तिहाई) बुस्तान उन दोनों के लिये निस्फ़–निस्फ़ है फिर बुस्तान (बाग) की सुलुस् पैदावार फरोख़्त की जायेगी और उसकी क़ीमत वसी के क़ब्ज़े में या अगर वसी नहीं है तो किसी ईमानदार व सिक़ा आदमी (दीनदार) के कब्ज़े में देदी जायेगी वह वसी और सिक़ा उन दोनों पर हिस्सा–ए–रस्दी माह ब'माह ख़र्च करेगा और अगर उन दोनों का इन्तिक़ाल होगया तो जो कुछ रहेगा वह मूसी के वुरसा को मिलेगा। (आलमगीरी जि.6 स.129)

मसअ्ला.47:– यह वसियत की कि फुलाँ शख़्स पर मेरे माल से चार रुपये माहाना ख़र्च किये जायें और फुलाँ और फुलाँ पर पाँच रुपये माहाना तो इस सूरत में तन्हा एक के लिये माले वसियत का छठा हिस्सा और दूसरे दोनों के लिये दूसरा छठा हिस्सा खर्च करने के लिये महफ़ूज़ रखा जायेगा (आलमगीरी जि.6 स.130) यानी मय्यित का माल बारह हिस्सों में तक़सीम होगा इसमें से एक सुलुस् यानी चार हिस्से वसियत में दिये जायेंगे बाक़ी दो सुलुस् यानी आठ हिस्से वुरसा को मिलेंगे फिर सुलुस् माल की वसियत के उन चार हिस्सों में से एक दो हिस्सा यानी एक हिस्सा मूसा'लहू के लिये और दूसरे दो हिस्से दोनों मूसा'लहुमा के लिये और उनपर हर माह ख़र्च होगा।

मसअ्ला.48:– मय्यित ने अपनी आराज़ी की पैदावार की किसी एक शख़्स के लिये वसियत की और दूसरे शख़्स के लिये उस आराज़ी के रकबे की वसियत की और सुलुस् माल में है फिर उसको साहिबे रक़बा ने (यानी जिसके लिए रक़बा की वसियत की थी) फ़रोख़्त कर दिया और उस शख़्स ने उस बैअ् को तस्लीम कर लिया जिसके लिये पैदावर की वसियत की थी तो बैअ् जाइज़ होगई और

पैदावार की वसियत जिसके लिये थी वह वसियत बातिल होगई अब उसका इस पैदावार की कीमत में भी कोई हिस्सा नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.130)

मसअला.49:– मरीज़ ने अपने बुस्तान की पैदावार की वसियत किसी के लिये की और मूसी की मौत से क़ब्ल कई साल उसमें पैदावार हुई फिर मूसी का इन्तिक़ाल होगया तो मूसा'लहू का उस पैदावार में हिस्सा है जो मूसी की मौत के वक़्त या उसके बाद पैदा हो। (आलमगीरी जि.6 स.130) जो पैदावार मूसी की मौत से पहले हुई उसमें कोई हिस्सा नहीं।

मसअला.50:– यह कहा कि मैंने उन एक हज़ार की फुलाँ के लिये वसियत की और मैंने फुलाँ के लिये उसमें से सौ की वसियत करदी है तो यह रुजूअ़ नहीं है इस सूरत में नौ सौ पहली वसियत वाले के लिये हैं और सौ में दोनों आधे–आधे के शरीक हैं। (आलमगीरी जि.6 स.130)

मसअला.51:– मरीज़ ने कहा कि मेरा सुलुस् माल फुलाँ और फुलाँ के लिये और फुलाँ के लिये इस में से एक सौ है और उसका सुलुस् माल कुल सत्रह दिरहम ही है तो यह कुल सुलुस् उसी को मिलेगा जिस के लिये सौ मुक़र्रर किये। (आलमगीरी जि.6 स.130)

मसअला.52:– यह वसियत की कि मेरा सुलुस् माल अ़ब्दुल्लाह के लिये ज़ैद व अ़म्र के लिये और अ़म्र के लिये उसमें से सौ रुपये और उसका सुलुस् माल कुल सौ रुपये ही है तो यह सौ रुपये अ़म्र को मिलेंगे और अगर उसका सुलुस् माल डेढ़ सौ रुपये थे तो अ़म्र को सौ रुपये मिलेंगे और जो पचास इस में अ़ब्दुल्लाह और ज़ैद निस्फ़–निस्फ़ के शरीक हैं। (आलमगीरी जि.6 स.130)

मसअला.53:– यह वसियत की कि यह एक हज़ार फुलाँ और फुलाँ के लिये, फुलाँ के लिये इसमें से सौ रुपये तो वह इस इस तरह तक़सीम होंगे फुलाँ को सौ रुपये और दूसरे को नौ सौ रुपये, अगर इस में से कुछ ज़ाइअ़ होगये तो बाक़ी के दस हिस्से करके एक हिस्सा सौ वाले को और बाक़ी नौ हिस्से दूसरे को दिये जायेंगे। (आलमगीरी जि.6 स.130) और अगर उसने एक तीसरे शख़्स के लिये दीगर एक हज़ार रुपये की वसियत करदी और इसका सुलुस् माल कुल एक हज़ार रुपये है तो इस सूरत में निस्फ़ हज़ार तीसरे मूसा'लहू को मिलेगा और निस्फ़ हज़ार पहले दो मूसा'लहुमा को दिया जायेगा और वह दस हिस्सों में तक़सीम होकर पहले को एक हिस्सा और दूसरे को नौ हिस्से मिलेंगे। (आलमगीरी जि.6 स.130)

मसअला.54:– अगर कहा कि यह एक हज़ार फुलाँ और फुलाँ के लिये इसमें से पहले फुलाँ के लिये सौ रुपये और दूसरे के लिये माबक़िया यानी नौ सौ रुपये तो पहले वाले को सौ रुपये मिलेंगे और अगर तक़सीम से पहले हज़ार में से नौ सौ हलाक होगये तो पहले के लिये सौ रुपये हैं और दूसरे के लिये कुछ नहीं और अगर यह कहा कि मैंने अपने सुलुस् माल से फुलाँ के लिये सौ रुपये की वसियत की और फुलाँ के लिये बक़िया की और मैंने फुलाँ के लिये एक हज़ार रुपये की वसियत करदी इस सूरत में बक़िया वाले को कुछ न मिलेगा और मय्यित का सुलुस् माल पहले वाले मूसा'लहू और तीसरे वाले मूसा'लहू में ग्यारह हिस्सों में तक़सीम होकर एक हिस्सा पहले वाले को और दस हिस्से एक हज़ार वाले को यानी तीसरे वाले को मिलेंगे। (आलमगीरी जि.6 स.130)

मसअला.55:– यह कहा कि मैंने इस एक हज़ार की फुलाँ फुलाँ के लिये वसियत की और फुलाँ के लिये सात सौ और फुलाँ के लिये छः सौ तो इस सूरत में यह एक हज़ार उन दोनों के दरम्यान तेरह हिस्सों में तक़सीम होगा सात हिस्से सात सौ वाले को और छः हिस्से छः सौ वाले को मिलेंगे

मसअला.56:– यह कहा कि फुलाँ के लिये इस एक हज़ार में से हज़ार और फुलाँ के लिये हज़ार तो इस सूरत में यह एक हज़ार उन दोनों के दरम्यान निस्फ़–निस्फ़ तक़सीम होगा(आलमगीरी जि.6 स.131)

मसअला.57:– यह कहा कि मैंने इस एक हज़ार की फुलाँ और फुलाँ के लिये वसियत की फुलाँ के लिये इसमें से एक हज़ार तो इस सूरत में एक हज़ार सब के सब दूसरे मूसा'लहू को मिलेंगे(आलमगीरी)

मसअला.58:– एक शख़्स ने कुछ लोगों के लिये कुछ वसियतें कीं उनमें से कोई आया और उसने अपने लिये वसियत का सुबूत पेश किया और यह चाहा कि उसका हिस्सा उसे देदिया जाये तो

उसका हिस्सा उसे देदिया जाये और बाकी लोगों का हिस्सा महफूज रखा जाये पस अगर उन बाकी लोगों का हिस्सा सहीह व सालिम रहा तो वह उनको देदिया जायेगा और अगर जाइअ् हो गया तो यह सब उसके हिस्से में शरीक होंगे जिसने अपना हिस्सा ले लिया था और उस को हिस्सा देदेना बकिया लोगों के लिये तकसीम का हुक्म नहीं रखता। (मुहीत अज आलमगीरी जि.6 स.131)

मसअ्ला.59:– किसी ने वसियत की कि फुलाँ शख्स को एक हज़ार दिरहम देदिये जायें जिनसे वह कैदियों को ख़रीदले पस अगर वह शख्स रुपये लेने से क़ब्ल ही इन्तिकाल कर गया तो हाकिम को यह रुपया देदिया जायेगा वह इस काम के लिये लोगों में से किसी को वली बना देगा ताकि वह इस रुपये से कैदियों को ख़रीदले। (खिजानतुल मुफ़्तीन अज आलमगीरी जि.6 स.131)

मसअ्ला.60:– एक शख्स ने यह वसियत की कि मेरा घर फरोख्त किया जाये और उसकी कीमत से दस बोझ गेहूँ (मसलन दस कुन्तल) और एक हज़ार मन रोटियाँ ख़रीदी जायें (मन67$\frac{1}{2}$ तोले का एक पैमाना था फ़तावा रज़विया जि.4) और उसने कुछ और वसियतें भी कीं पस इस का घर फरोख्त किया गया और उसकी कीमत मज़कूरा मिक्दार गेहूँ और रोटियों के लिये पूरी नहीं हुई और उस घर के एलावा उसका और भी माल है तो अगर उसका सुलुस् माल उस की तमाम वसियतों के लिये गुन्जाइश रखता हो तो वह तमाम वसियतें इस के सुलुस् माल से पूरी करदी जायेंगी(आलमगीरी जि.6)

मसअ्ला.61:– एक शख्स ने कुछ वसियतें कीं उसके वुरसा को मालूम हुआ कि उनके बाप ने कुछ वसियतें की हैं लेकिन यह नहीं मालूम कि किस चीज़ की हैं उन्होंने कहा कि हमारे बाप ने जिस चीज़ की वसियत की हमने उसको जाइज़ किया तो उनकी यह इजाज़त सहीह नहीं सिर्फ़ इस सूरत में इजाज़त सहीह होगी जब कि उन्हें इल्म हो जाये। (मुन्तका अज आलमगीरी जि.6 स.31)

मसअ्ला.62:– एक शख्स ने किसी आदमी के लिये कुछ माल की वसियत की और फुकरा के लिये कुछ माल की वसियत की और मूसा'लहू मोहताज है तो इस को फुकरा का हिस्सा भी दिया जा सकता है। (फ़तावा काजीखाँ अज आलमगीरी जि.6 स.131)

मसअ्ला.63:– एक शख्स ने कुछ वसियतें कीं फिर कहा और बाकी फुकरा पर सदका किया जाये फिर अपनी कुछ वसियतों से रुजूअ् कर लिया जिनके लिये वसियतें की थीं (मूसा'लहुम) या उन में से बाज़ मूसा'लहुम मूसी की मौत से पहले ही मर गये तो बाकी माल फुकरा पर सदका किया जायेगा अगर उसने फुकरा के लिये वसियत से रुजूअ् नहीं किया है। (मुहीत अज आलमगीरी जि.6 स.131)

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

मसअ्ला.1:– एक शख्स ने क़सम खाई कि वह कोई वसियत नहीं करेगा फिर उसने अपने मर्जुल'मौत में कोई चीज़ हिबा की या उसने इस हालत में अपना गुलाम बेटा ख़रीदा जो कि आज़ाद होगया तो उसकी क़सम नहीं टूटी और वह हानिस् नहीं हुआ। (आलमगीरी जि.6 स.132)

मसअ्ला.2:– एक मरीज़ ने कुछ वसियतें कीं लेकिन यह अलफ़ाज़ नहीं कहे कि अगर मैं अपने इस मर्ज़ से मरजाऊँ या यह कि अगर मैं इस मर्ज़ से अच्छा न हों तो मेरी यह वसियतें हैं, वसियतें करने के बाद वह इस मर्ज़ से अच्छा होगया और कई साल ज़िन्दा रहा तो मर्ज़ से अच्छा होने के बाद उसकी वसियतें बातिल होजायेंगी। (फतावा काजीखाँ अज आलमगीरी जि.6 स.133)

मसअ्ला.3:– मरीज़ ने कहा अगर मैं इसी बीमारी से मरजाऊँ तो मेरे माल से फुलाँ को इतना रुपया और मेरी तरफ़ से हज कराया जाये फिर अपनी बीमारी से अच्छा होगया फिर दोबारा बीमार होगया और उसने उन गवाहों से जिनको पहली वसियत पर गवाह बनाया था कहा या दूसरे लोगों से कहा तुम गवाह होजाओ कि मैं अपनी पहली वसियत पर काइम हूँ तो यह इस्तिहसानन जाइज़ है(आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– किसी ने वसियतें कीं और दस्तावेज़ लिखदी और अच्छा होगया फिर उसके बाद बीमार हुआ कुछ वसियतें कीं और दस्तावेज़ लिखदी अगर उसने उस दूसरी दस्तावेज़ में यह वाज़ेह नहीं किया कि उसने पहली वसियतों से रुजूअ् कर लिया है तो ऐसी सूरत में दोनों वसियतों पर

हमे बड़ी मुसर्रत हो रही है कि अल्लाह त'आला और उसके हबीब सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम के हुक्म फ़ज़्ल-ओ-करम से और बुज़ुर्गाने दीन सिलसिला-ए-क़ादिरिया बिलख़ुसूस पिराने पीर दस्तगीर हुज़ूर ग़ौस-ए-आज़म शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रादिअल्लाहु त'आला अन्हू के फ़ैज़ से क़िताब बहार-ए-शरीअत (हिस्सा **11** से **20**) हिंदी में पीडीएफ **[PDF]** में आप की खिदमत में पेश की जा रही है।

ज़माना-ए- क़दीम से अवमुन्नास की इस्लाहे हाल और हिदायते उख़रवी व दुनयवी के लिए हक़ सदाक़त के जाम की फ़राहमी की जाती रही है और ये इलतेज़ाम ख़ालिक़-ए-क़ायनात जल्ला जलालहु ने ब अहसान अपनी मख़लूक़ के लिए फ़रमाया है। अम्बिया व मुर्सलीन के बेहतरीन दौर के बाद उसने यह ख़िदमत अपने मुक़र्रबीन रिज़वानुल्लाह त'आला अलैहिम अजमईन के सुपुर्द की और यह सिलसिला अला हालही जारी व सारि है।

मज़हब-ए-इस्लाम अल्लाह त'आला का पसंदीदा दीन है । जिंदगी का कोई ऐसा शोबा नही जिसके लिए इस्लाम ने हमे क़ानून न दिया हो ।

आज जिस दौर से हम गुज़र रहे है हमारा मुस्लिम तबका उर्दू की तरफ ध्यान नही दे रहा है और नई नस्ल तो बिल्कुल ही उर्दू से नावाक़िफ़ होती जा रही है । नतीजे के तौर पर दीनी और मज़हबी दिलचस्पियाँ कम हो रही है और हम अपने हाल को ग़ैर मुंज़बित तरीके पे छोड़े रहते है ।

लिहाज़ा ये किताब हिंदी में लिखी गई है और आप सब की आसानी के लिए हम ने इस किताब को पीडीएफ फ़ाइल में आप की ख़िदमत में पेश किया है।
आप सब से हमारी गुज़ारिश है कि अपनी मसरूफ ज़िन्दगी में से रोज़ाना वक़्त निकाल कर बुज़ुर्गो की तस्नीफ़ करदा किताबो को मुताला में रखें , इंशा अल्लाह त'आला दीन और दुनिया दोनो में मक़बूल होंगे।

दुआओं के तलबगार

वसीम अहमद रज़ा खान और साथी

+91-8109613336

अमल किया जायेगा। (खिज़ानतुल मुफ़्तीन अज़ आलमगीरी जि.6 स.133)

मसअ्ला.5:– एक शख़्स ने वसियत की फिर उसे वसवसों और वहम ने घेर लिया और फ़ातिरुल' अ़क़्ल होगया और एक ज़माने तक उसी हालत पर रहा फिर इन्तिकाल होगया तो उस की वसियत बातिल है। (आलमगीरी जि.6 स.133)

मसअ्ला.6:– एक शख़्स ने किसी को एक हज़ार रुपये दिये और कहा कि यह फुलां के लिये हैं जब मैं मरजाऊँ तो उसको देदेना फिर मरगया तो वह शख़्स मय्यित की वसियत के मुताबिक़ वह एक हज़ार रुपये फुलाँ शख़्स को देगा और अगर मरने वाले ने यह नहीं कहा था कि यह रुपये फुलाँ के लिये सिर्फ़ इतना कहा कि उसको देदेना फिर वह मर गया इस सूरत में यह रुपया फुलाँ शख़्स को नहीं दिया जायेगा। (आलमगीरी जि.6 स.133)

मसअ्ला.7:– एक शख़्स ने कहा कि यह रुपया या कपड़े फुलाँ को देदो और यह नहीं कहा कि यह उसके लिये हैं न यह कहा कि यह उसके लिए वसियत है तो यह बातिल है यह न वसियत है न इक़रार। (आलमगीरी जि.6 स.133)

मसअ्ला.8:– एक शख़्स ने कुछ वसियतें कीं लोगों ने उसकी वसियतें खोटे और रद्दी दिरहमों से पूरी करदीं इस सूरत में अगर वसियत मुअ़य्यन (ख़ास) लोगों के लिये थी और वह इल्म व इत्तिलाअ़ के बावजूद उन खोटे दिरहमों से राज़ी हैं तो जाइज़ है और अगर ग़ैर मुअ़य्यन फ़क़ीरों के लिये वसियत थी तब भी जाइज़ है। (आलमगीरी जि.6 स.133)

मसअ्ला.9:– एक शख़्स ने कुछ वसियतें कीं और मुख़्तलिफ़ सिक्कों का चलन है तो ख़रीद व फ़रोख़्त में जिन सिक्कों का चलन ग़ालिब है उन सिक्कों से वसियतों को पूरा किया जायेगा(आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– मरीज़ से लोगों ने कहा कि तू वसियत क्यों नहीं कर देता उसने कहा कि मैंने वसियत की कि मेरे सुलुस् माल से निकाला जाये फिर एक हज़ार रुपये मिस्कीनों पर सदक़ा कर दिया जाये और अभी कुछ ज़्यादा न कह पाया था कि मरगया और उसका सुलुस् माल दो हज़ार रुपये है इस सूरत में सिर्फ़ एक हज़ार रुपया सदक़ा किया जायेगा। (आलमगीरी जि.6 स.133)

मसअ्ला.11:– मरीज़ ने अगर यह कहा कि मैंने वसियत की कि मेरे सुलुस् माल से निकाला जाये और कुछ न कह पाया तो उसका कुल तिहाई माल फ़क़ीरों पर सदक़ा किया जायेगा(आलमगीरी जि.6 स.133)

मसअ्ला.12:– मरीज़ ने कहा कि मैंने फुलाँ के लिये अपने सुलुस् माल की वसियत की जो एक हज़ार है लेकिन सुलुस् एक हज़ार से ज़्यादा है तो इमाम हसन इब्ने ज़्याद के नज़्दीक मूसा'लहू को सुलुस् माल मिलेगा वह जितना भी हो। (आलमगीरी जि.6 स.133)

मसअ्ला.13:– ऐसे ही अगर यह कहा कि मैंने उस घर से अपने हिस्से की वसियत की और वह तिहाई है फिर देखा तो उसका हिस्सा निस्फ़ था तो मूसा'लहू को निस्फ़ घर मिलेगा अगर निस्फ़ घर मय्यित के कुल माल का तिहाई हिस्सा या इस से कम है। (आलमगीरी जि.6 स.133)

मसअ्ला.14:– अगर उसने यह कहा कि मैंने फुलाँ के लिये एक हज़ार रुपये की वसियत की और वह मेरे माल का दसवाँ हिस्सा है तो मूसा'लहू को सिर्फ़ एक हज़ार रुपया मिलेगा उसके माल का दसवाँ हिस्सा कम हो या ज़्यादा। (आलमगीरी जि.6 स.133)

मसअ्ला.15:– यह कहा कि इस थैली में जो कुछ है मैंने फुलाँ के लिये वसियत की और वह एक हज़ार दिरहम हैं और यह एक हज़ार दिरहम आधा है जो इस थैली में है फिर देखा तो थैली में तीन हज़ार दिरहम हैं तो मूसा'लहू को सिर्फ़ एक हज़ार मिलेंगे और अगर थैली में एक हज़ार ही हैं तो वह कुल मूसा'लहू को मिलेंगे और अगर थैली में सिर्फ़ पाँच सौ दिरहम थे तो मूसा'लहू को तिहाई मिलेंगे इस के एलावा नहीं और अगर थैली में दिरहम नहीं हैं बल्कि जवाहिरात और दीनार हैं तो मुनासिब है कि मूसा'लहू को उससे एक हज़ार रुपये दिये जायें। (आलमगीरी जि.6 स.134)

मसअ्ला.16:– मरीज़ ने कहा कि जो कुछ उस घर में है मैंने उस तमाम की वसियत की और वह

एक पैमाना खाना है फिर देखा तो इस में कई पैमाने खाना है और उसमें गेहूँ और जौ भी हैं तो यह सब मूसा'लहू के लिये हैं अगर सुलुस् माल के अन्दर अन्दर हैं। (आलमगीरी जि.6 स.134)

मसअला.17:– अगर किसी ने मख़्सूस और मुअय्यन एक हज़ार दिरहम सदक़ा करने की वसियत की और वसी ने उनके बदले मुतवफ़्फ़ा मूसी के माल से दूसरे एक हज़ार दिरहम सदक़ा कर दिये तो जाइज़ है लेकिन अगर वसी के सदक़ा करने से पहले ही वह पहले वाले मुअय्यन दिरहम ज़ाइअ् होगये और वसी ने मूसी के माल से एक हज़ार दिरहम सदक़ा कर दिये तो वसी एक हज़ार दिरहम का वुरसा के लिये ज़ामिन है और अगर मूसी ने एक हज़ार मुअय्यन दिरहम सदक़ा करने की वसियत की फिर वह हलाक होगये तो वसियत बातिल होजायेगी। (आलमगीरी जि.6 स.134)

मसअला.18:– एक आदमी ने वसियत की कि उसके माल में से कुछ हाजी फ़क़ीरों पर सर्फ़ किया जाये तो अगर वह माल हाजी फ़क़ीरों के सिवा दूसरे फ़क़ीरों पर सदक़ा करदिया जाये तो जाइज़ है(आलमगीरी जि.6)

मसअला.19:– एक आदमी ने अपने सुलुस् माल को सदक़ा करने की वसियत की फिर वसी से किसी ने उस माल को ग़स्ब कर लिया, छीन लिया और उस माल को हलाक कर दिया अब वसी यह चाहता है कि वह उस माल को उस ग़ासिब पर ही सदक़ा करदे और ग़ासिब यानी माल छींनने वाला भी ग़रीब व तंगदस्त है तो यह जाइज़ है। (आलमगीरी जि.6 स.134)

मसअला.20:– एक शख़्स को हराम माल मिला उसने वसियत की कि उस माल के मालिक की तरफ़ से सदक़ा कर दिया जाये अगर माल का मालिक मालूम है तो यह माल उसे वापस किया जायेगा और अगर मालूम नहीं तो उसकी तरफ़ से सदक़ा कर दिया जायेगा और अगर मूसी के वुरसा ने उसके इस इक़रार को (यह हराम माल है) झुठलाया और न माना तो वसियत के मुताबिक़ इस में से एक तिहाई सदक़ा कर दिया जायेगा। (आलमगीरी जि.6 स.134)

मसअला.21:– एक आदमी ने अपने सुलुस् माल की मिस्कीनों के लिये वसियत की और वह अपने वतन से बाहर किसी दूसरे शहर में है अगर माल उसके साथ है तो जिस शहर में वह है वह माल उसी शहर के मिस्कीनों पर ख़र्च किया जायेगा और उसका जो माल उसके वतन में है वह वतन के फ़क़ीरों व मिस्कीनों पर ख़र्च होगा। (आलमगीरी जि.6 स.134)

मसअला.22:– अगर किसी ने वसियत की कि उसका सुलुस् माल फ़ुक़रा–ए–बल्ख़ पर सदक़ा किया जाये तो अफ़ज़ल यह है कि उनपर ही ख़र्च किया जाये और अगर वह माल उनके एलावा दूसरों पर सदक़ा कर दिया तो जाइज़ है इमाम अबू यूसुफ़ के नज़्दीक इसी पर फ़तवा है(दुर्रेमुख़्तार जि.6)

मसअला.23:– यह वसियत की कि उसका माल दस दिन में ख़र्च कर दिया जाये उसने एक ही दिन में ख़र्च कर दिया तो जाइज़ है। (आलमगीरी जि.6 स.134)

मसअला.24:– अगर यह वसियत की कि हर फ़क़ीर को एक दिरहम दिया जाये वसी ने हर फ़क़ीर को आधा दिरहम दिया फिर आधा दिरहम और देदिया और उस वक़्त तक फ़क़ीर ने आधा ख़र्च कर लिया था तो जाइज़ है वसी ज़ामिन न होगा। (आलमगीरी जि.6 स.134)

मसअला.25:– मूसी ने वसियत की कि मेरी तरफ़ से कफ़्फ़ारा में दस मिस्कीन खिलादिये जायें वसी ने दस मिस्कीनों को सुबह का खाना खिलाया फिर दसों मरगये तो वसी दूसरे दस को सुबह व शाम का खाना खिलायेगा और उस पर ज़मान नहीं और अगर उसने यह कहा कि मेरी तरफ़ से दस मिस्कीनों को सुबह व शाम का खाना खिला दिया जाये कफ़्फ़ारा का ज़िक्र नहीं किया और वसी ने दस मिस्कीनों को सुबह का खाना खिलाया था कि वह मरगये तो इस सूरत में भी मुफ़्ता बिही यही है कि वसी दूसरे दस मिस्कीनों को सबुह व शाम का खाना खिलायेगा और पहले दस के खिलाने का तावान न देगा। (ख़िज़ानतुलमुफ़तीन अज़ आलमगीरी जि6 स.135)

मसअला.26:– एक आदमी ने वसियत की कि मेरे मरने के बाद तीन सौ क़फ़ीज़ गेहूँ सदक़ा किया जाये (क़फ़ीज़ गेहूँ नापने के एक पैमाने का नाम है) वसी ने मूसी की ज़िन्दगी ही में दो सौ क़फ़ीज़ गेहूँ

सदका में तक़सीम कर दिये तो वसी उसका ज़ामिन होगा मूसी के मरने के बाद हाकिम के हुक्म से तक़सीम करे, अगर उसने मूसी की मौत के बाद बिग़ैर हाकिम के हुक्म के तक़सीम करदिये तब भी वह तावान देने से नहीं बचेगा और अगर मूसी के इन्तिक़ाल के बाद वसी ने वुरसा के हुक्म से तक़सीम किये तो अगर वुरसा में ना'बालिग़ भी हैं तो उनका हुक्म करना जाइज़ नहीं, अगर सब बालिग़ हैं तो हुक्म सहीह है अगर तक़सीम करदेगा तो उसपर तावान नहीं, अगर वुरसा में ना'बालिग़ भी हैं और बालिग़ वुरसा ने गेहूँ तक़सीम करने का हुक्म दिया तो यह बालिग़ों के हिस्से में सहीह और ना'बालिगों के हिस्से मे सहीह न होगा। (आलमगीरी जि.6 स.135)

मसअ्ला.27:– यह वसियत की कि मेरे माल से गेहूँ और रोटी ख़रीदी जाये और उन्हें मिस्कीनों पर सदका किया जाये तो अगर मूसी ने गेहूँ और रोटी उठाकर लाने वाले हम्मालों (बोझ'बर्दारों) की उजरत देने की भी वसियत की तो वह मुतवफ़्फ़ा मूसी के माल से दी जायेगी और अगर मूसी ने अपनी वसियत में उस उजरत के देने को नहीं कहा तो ऐसी सूरत में वसी के लिये मुनासिब है कि वह ऐसे लोगों से उठवाकर लाये जो बिग़ैर उजरत के उठालायें फिर उस गेहूँ और रोटी में से बतौर सदका कुछ देदे और अगर मूसी ने यह वसियत करदी थी कि उनको मसाजिद में ले जाया जाये तो इस की उजरत मुतवफ़्फ़ा मूसी के माल से अदा की जायेगी। (आलमगीरी जि.6 स.135)

मसअ्ला.28:– मूसी ने एक शख़्स को वसियत की और उसे अपना सुलुस् माल सदका करने का हुक्म दिया तो अगर उस शख़्स ने वह माल ख़ुद ही रख लिया तो जाइज़ नहीं लेकिन अगर उसने अपने बालिग़ बेटे को दिया या ऐसे छोटे बेटे को दिया जो क़ब्ज़ा करना जानता है तो जाइज़ है और अगर वह छोटा बेटा क़ब्ज़ा करना नहीं जानता तो जाइज़ नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.135)

मसअ्ला.29:– बादशाह के आमिल (मुहासिल वसूल करने वाले) ने वसियत की कि फ़क़ीरों को उसके माल से इतना देदिया जाये तो अगर यह मालूम है कि उसका माल उसका नहीं दूसरे का है तो उसका लेना हलाल नहीं और अगर उसका माल दूसरे के माल से मिला जुला है तो उसका लेना जाइज़ है बशर्ते कि मुतवफ़्फ़ा मूसी का बक़िया माल इस क़दर हो कि उससे दअ्वेदारों के मुतालबात अदा होजायें। (आलमगीरी जि.6 स.135)

मसअ्ला.30:– एक शख़्स ने अपने सुलुस् माल की फ़ुक़रा के लिये वसियत की और वसी ने वह माल ला'इल्मी में अग़निया को देदिया तो यह जाइज़ नहीं वसी फ़ुक़रा को इतना माल देने का ज़ामिन है। (तातार ख़ानिया अज़ आलमगीरी जि.6 स.135)

मसअ्ला.31:– एक शख़्स के पास सौ दिरहम नक़्द हैं और सौ दिरहम किसी अजनबी पर उधार हैं उसने एक आदमी के लिये अपने सुलुस् माल की वसियत की तो मूसा'लहू नक़्द माल का सुलुस् ले लेगा। (ज़हीरा अज़ आलमगीरी जि.6 स.136)

मसअ्ला.32:– एक शख़्स का किसी आदमी पर उधार था उसने वसियत की कि उसे सवाब के कामों में सर्फ़ किया जाये तो इस वसियत का तअ्ल्लुक़ सिर्फ़ उधार से है अगर मूसी ने अपने उधार में से कुछ हिस्सा मक़रुज़ को हिबा करदिया तो जिस क़द्र हिबा करदिया उतने माल में वसियत बातिल है। (आलमगीरी जि.6 स.136)

मसअ्ला.33:– अपने जिस्म के सामान की वसियत की तो इस में टोपी, मौज़े, लिहाफ़, बिस्तर, क़मीस, फ़र्श और पर्दे शामिल हैं। (सियर अज़ आलमगीरी जि.6 स.136)

मसअ्ला.34:– हरीर के जुब्बे की वसियत की और मूसी का एक जुब्बा है जिसका बालाई कपड़ा भी हरीर है और अस्तर भी हरीर है तो वह वसियत में शामिल है और अगर बालाई हिस्सा हरीर है और अस्तर ग़ैर हरीर तब भी वसियत में दाख़िल है अगर अस्तर हरीर है और बालाई कपड़ा हरीर नहीं तो मूसा'लहू को नहीं मिलेगा। (आलमगीरी जि.6 स.136)

मसअ्ला.35:– अगर ज़ेवरात की वसियत की तो इसमें हर वह चीज़ दाख़िल है जिसपर ज़ेवर का

लफ़्ज़ बोला जाये ख़्वाह याकूत व ज़ुमुर्रुद से जुड़ाव हो या न हो और यह सब मूसा लहू को मिलेगा
मसअ्ला.36:— ज़ेवर की वसियत की तो उसमें सोने की अंगूठी दाख़िल है और उसमें चाँदी की वह अंगूठी भी दाख़िल है जो औरतें पहनती हैं लेकिन अगर चाँदी की अंगूठी ऐसी है जिसको मर्द पहनते हैं वह इसमें दाख़िल नहीं और अगर लूलू और ज़ुमुर्रुद वग़ैरा चाँदी, सोने के साथ मुरक्कब हैं तो यह भी ज़ेवर में दाख़िल हैं वरना नहीं। (मुहीत अज़ आलमगीरी जि.6 स.136)

वसी और उसके इख़्तियारात का बयान

आदमी को वसियत क़बूल करना मुनासिब बात नहीं क्योंकि यह ख़तरात से पुर है हज़रत इमाम अबूयूसुफ़ रहिमहुल्लाहु अ़लैहि से मन्कूल है वह फ़रमाते हैं पहली बार वसियत क़बूल करना ग़लती है दूसरी बार ख़्यानत तीसरी बार सर्क़ा है हज़रते इमाम शाफ़ेई रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैहि फ़रमाते हैं वसियत में नहीं दाख़िल होता है मगर बे'वकूफ़ और चोर। (फ़तावा क़ाज़ीख़ाँ अज आलमगीरी जि.6 स.137)
वसी:— उस शख़्स को कहते हैं जिस को वसियत करने वाला (मूसी) अपनी वसियत पूरी करने के लिये मुक़र्रर करे वसी तीन तरह के होते हैं (1)एक वसी वह है जो अमानतदार हो और वसियत पूरी करने पर क़ादिर हो, क़ाज़ी के लिये उसको मअ्ज़ूल और बर'तरफ़ करना जाइज़ नहीं (2)दूसरा वसी वह है जो अमानतदार तो हो मगर आजिज़ हो यानी वसियत को पूरा करने की कुदरत न रखता हो क़ाज़ी के लिये ज़रूरी है कि उसे बर'तरफ़ और मअ्ज़ूल करदे और उसकी जगह किसी दूसरे अमानतदार मुसलमान को मुक़र्रर करे। (खिजानतुल मुफ़तीन अज आलमगीरी जि.6 स.137)
मसअ्ला.1:— एक शख़्स ने किसी को उसके सामने अपना वसी बनाया या मूसा इलैहि यानी वसी ने कहा कि मैं क़बूल नहीं करता तो उसका इनकार और रद करना सहीह है और वह वसी नहीं होगा फिर अगर मूसी ने मूसा इलैहि से यह कहा कि मेरा ख़्याल तुम्हारे बारे में ऐसा न था कि तुम क़बूल न करोगे उसके बाद मूसा इलैहि ने कहा "मैं ने वसियत क़बूल की" तो यह जाइज़ है और अगर वह मूसी की हयात में ख़ामोश रहा न क़बूल किया न इनकार फिर मूसी का इन्तिक़ाल हो गया तो उसे इख़्तियार है चाहे तो उसकी वसियत क़बूल करले या रद्द व इन्कार करदे(आलमगीरी जि.6 स.137)
मसअ्ला.2:— मूसी ने किसी को वसी बनाया वह ग़ाइब था उसे मूसी की मौत के बाद यह ख़बर पहुँची उसने कहा मुझे क़बूल नहीं फिर कहा क़बूल करलिया मैंने, अगर बादशाह ने अभी उसे वसी होने से ख़ारिज नहीं किया था और उसने पहले ही क़बूल कर लिया तो जाइज है।(आलमगीरी)
मसअ्ला.3:— मूसी ने किसी को वसियत की उसने मूसी की ज़िन्दगी में क़बूल कर लिया तो उसके लिये वसी होना लाज़िम होगया अब अगर वह मूसी की मौत के बाद उससे निकलना चाहे तो उसके लिये यह जाइज़ नहीं और अगर उसने मूसी की ज़िन्दगी में उसके इल्म में लाकर क़बूल करने से इन्कार कर दिया तो सहीह है और इनकार कर दिया मगर मूसी को इसका इल्म नहीं हुआ तो सहीह नहीं। (मुहीत अज़ आलमगीरी जि.6 स.137)
मसअ्ला.4:— किसी को वसियत की और यह इख़्तियार दिया कि जब वह चाहे वसी होने से निकल जाये तो यह जाइज़ है और वसी को यह हक़ है कि जिस वक़्त चाहे और जब चाहे वसी होने से निकल जाये। (खिजानतुल मुफ्तीन अज आलमगीरी जि.6 स.137)
मसअ्ला.5:— किसी को वसियत की उसने कहा मैं क़बूल नहीं करता फिर मूसी ख़ामोश होगया और इन्तिक़ाल करगया फिर मूसा इलैहि यानी उस शख़्स ने जिसको वसियत की थी कहा कि मैंने क़बूल किया तो सहीह नहीं, और अगर मूसा इलैहि ने सुकूत इख़्तियार किया और मूसी के सामने यह न कहा कि मैं क़बूल नहीं करता फिर उसकी पसे पुश्त मूसी की ज़िन्दगी में या उसकी मौत के बाद एक जमाअ़त की मौजूदगी में कहा कि मैंने क़बूल करलिया तो इसका क़बूल करना जाइज़ है और यह वसी बन जायेगा ख़्वाह उसका यह क़बूल करना क़ाज़ी के सामने हो या उसकी अ़दम मौजूदगी में और अगर क़ाज़ी ने उसे उसके यह कहने के बाद कि मैं क़बूल नहीं करता वसी होने

से ख़ारिज करदिया फिर उसने कहा कि मैं क़बूल करता हूँ तो यह कबूल करना सहीह नहीं(आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– मूसी ने किसी को वसी बनाया या उसने मूसी की अदम मौजूदगी में कहा कि मैं क़बूल नहीं करता और इस इन्कार की इत्तिलाअ़ के लिये उसने मूसी के पास क़ासिद भेजा या ख़त भेजा और वह मूसी तक पहुँचगया फिर उसने कहा कि मैं क़बूल करता हूँ तो यह क़बूल करना सहीह नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.137)

मसअ्ला.7:– मूसा इलैहि (वसी) ने मूसी के सामने वसियत को क़बूल कर लिया फिर जब वसी चला गया मूसी ने कहा गवाह रहो मैंने उसे वसियत से ख़ारिज कर दिया तो यह इख़्राज सहीह है और अगर वसी ने मूसी की अदम मौजूदगी में वसी बनने को रद कर दिया क़बूल नहीं किया तो उसका यह रद करना बातिल है। (आलमगीरी जि.6 स.137)

मसअ्ला.8:– मूसी ने किसी शख़्स को अपना वसी बनाया और उसे अपना वसी होना मा़लूम नहीं फिर उस वसी ने मूसी की मौत के बा़द उसके तर्का से कोई चीज़ फ़रोख़्त की तो उसका फ़रोख़्त करना जाइज़ है और उसे वसी होना लाज़िम होगया। (फ़तावा क़ाज़ीख़ाँ अज आलमगीरी जि.6 स.137)

मसअ्ला.9:– मूसी ने दो आदमियों को वसियत की एक ने क़बूल कर लिया दूसरा ख़ामोश रहा फिर मूसी की मौत के बा़द क़बूल करने वाले ने सुकूत करने वाले से कहा कि मूसी की मय्यित के लिये कफ़न ख़रीद ले उसने ख़रीद लिया या कहा "हाँ अच्छा" तो यह सूरत वसियत क़बूल करने की है। (ख़िज़ानतुल मुफ़तीन अज आलमगीरी जि.6 स.137)

मसअ्ला.10:– वसी ने वसियत क़बूल करली फिर उसने इरादा किया कि वसियत से निकल जाये यह बिग़ैर हाकिम की इजाज़त के जाइज़ नहीं मूसा इलैहि या़नी वसी को जब वसियत लाज़िम होगई फिर वह हाकिम के पास हाज़िर हुआ और उसने अपने आप को वसी होने से ख़ारिज किया तो हाकिम मुआ़मले पर ग़ौर करेगा अगर वह वसी अमानतदार वसियत नाफ़िज़ करने पर क़ादिर है तो उसे वसी होने से नहीं निकालेगा और अगर वह आ़जिज़ है और उसके मशाग़िल कसीर हैं तो निकाल देगा। (अस्सिराजुलवह्हाज अज़ आलमगीरी जि.6 स.137)

मसअ्ला.11:– किसी फ़ासिक़ को वसी बनाया जिससे उसके माल को ख़तरा है तो यह वसियत या़नी उसको वसी बनाना बातिल है या़नी उसे क़ाज़ी वसी होने से ख़ारिज कर देगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– फ़ासिक़ को वसी बनाया तो क़ाज़ी को चाहिए कि उसको वसी होने से ख़ारिज करदे और उसके ग़ैर को वसी बनादे अगर यह क़ाज़ी वसी होने के लाइक़ नहीं है और अगर क़ाज़ी ने वसियत को नाफ़िज़ किया और उस फ़ासिक़ वसी ने इससे पहले कि क़ाज़ी उसे वसी होने से ख़ारिज करदे मय्यित के दैन (उधार) को अदा कर दिया और बैअ़ व शिरा की तो उसने जो कुछ कर दिया जाइज़ है और अगर उसे क़ाज़ी ने नहीं निकाला था कि उस फ़ासिक़ ने तौबा की और सालेह़ (नेक) होगया तो क़ाज़ी उसे ब'दस्तूर वसी बनाये रखेगा। (फ़तावा क़ाज़ीख़ाँ अज़ आलमगीरी जि.6 स.137)

मसअ्ला.13:– अगर क़ाज़ी को मा़लूम न था कि मय्यित का कोई वसी है और पहले वसी की मौजूदगी में उसने एक दूसरे शख़्स को वसी मुक़र्रर करलिया फिर पहले वसी ने वसियत में दाख़िल होना चाहा या़नी वसियत को नाफ़िज़ करना चाहा तो उसे इसका ह़क़ है और क़ाज़ी का यह फ़ेअ़्ल उसे वसी होने से ख़ारिज नहीं करता है। (फ़तावा ख़ुलासा अज़ आलमगीरी जि.6 स.138)

मसअ्ला.14:– क़ाज़ी को इल्म न था कि मय्यित का वसी है और वसी ग़ाइब है क़ाज़ी ने किसी और शख़्स को वसी बना दिया तो क़ाज़ी का बनाया हुआ यह वसी मय्यित ही का वसी होगा क़ाज़ी का नहीं। (मुहीतुस्सर्ख़सी अज़ आलमगीरी जि.6 स.138)

मसअ्ला.15:– मुसलमान ने ह़र्बी काफ़िर को ख़्वाह वह मुस्तामिन है या ग़ैर मुस्तामिन अपना वसी बनाया तो यह बातिल है यही हुक्म मुसलमान का ज़िम्मी को वसी बनाने का है।(आलमगीरी जि.6 स.138)

मसअ्ला.16:– ह़र्बी काफ़िर अमान लेकर दारुल'इस्लाम में दाख़िल हुआ उसने किसी मुसलमान को

अपना वसी बनाया तो यह जाइज़ है। (मुहीत अज आलमगीरी जि.6 स.138)

मसअ्ला.17:– मुस्लिम ने हर्बी को वसी बनाया फिर हर्बी इस्लाम ले आया तो यह ब'दस्तूर वसी रहेगा और यही हुक्म मुर्तद का भी है। (आलमगीरी जि.6 स.138)

मसअ्ला.18:– आ़क़िल को वसी बनाया फिर उस आक़िल को जुनूने मुतबक़ (जुनूने मुतबक यह है कि वह कम अज कम एक माह तक मुसलसल पागल रहे) तो क़ाज़ी को चाहिए कि उसकी जगह किसी और को वसी मुक़र्रर करदे अगर क़ाज़ी ने अभी किसी दूसरे को वसी मुक़र्रर नहीं किया था कि उसका पागल'पन जाता रहा और सहीह होगया तो यह ब'दस्तूर वसी बना रहेगा। (आलमगीरी जि.6 स138)

मसअ्ला.19:– अगर किसी ने बच्चे को या मअ्तूह (पागल) को वसी बनाया तो यह जाइज़ नहीं ख़्वाह बाद में वह अच्छा होजाये या न हो। (आलमगीरी जि.6 स.138)

मसअ्ला.20:– किसी शख़्स ने औरत को या अंधे को वसी बनाया तो यह जाइज़ है उसी तरह तोहमते ज़िना में सज़ा'याफ़्ता को भी वसी बनाना जाइज़ है। (आलमगीरी जि.6 स.138)

मसअ्ला.21:– ना'बालिग़ बच्चे को वसी बनाया तो क़ाज़ी उसको वसी होने से ख़ारिज कर देगा और उसकी जगह कोई दूसरा वसी बना देगा अगर क़ाज़ी के उसको वसी होने से ख़ारिज करने से क़ब्ल उसने तसर्रुफ़ कर दिया तो नाफ़िज़ न होगा। (आलमगीरी जि.6 स.138)

मसअ्ला.22:– किसी शख़्स को वसी बनाया और कहा कि अगर तू मरजाये तो तेरे बाद फुलाँ शख़्स वसी है फिर पहला वसी•जुनूने मुतबक़ (ज़्यादा मुद्दत का पागल'पन) में मुब्तला होगया तो क़ाज़ी उसकी जगह दूसरा वसी मुक़र्रर कर देगा और जब यह पागल मरजाये तब वह फुलाँ शख़्स वसी बनेगा जिसको मूसी ने पहले के बाद नामज़द किया। (आलमगीरी जि.6 स.138)

मसअ्ला.23:– किसी शख़्स ने अपने ना'बालिग़ बेटे को वसी बनाया तो क़ाज़ी उसके लिये दूसरे को वसी मुक़र्रर करेगा जब यह ना'बालिग़ लड़का बालिग़ होजाये तो उसे वसी बनादेगा और अगर चाहे तो उसे ख़ारिज करदे जिस लड़के की ना'बालिग़ की वजह से वसी बना दिया था लेकिन वह बिग़ैर क़ाज़ी के निकाले हुए निकल नहीं सकता। (मुहीत अज़ आलमगीरी जि.6 स138)

मसअ्ला.24:– वसी अमीन है और तसर्रुफ़ करने पर क़ादिर है तो क़ाज़ी उसे मअ्ज़ूल नहीं कर सकता और अगर सब वारिसों ने या बाज़ ने क़ाज़ी से वसी की शिकायत की तो क़ाज़ी के लिये मुनासिब नहीं कि वह उसे मअ्ज़ूल करदे जब तक क़ाज़ी पर उसकी ख़्यानत ज़ाहिर न होजाये अगर ख़्यानत ज़ाहिर होजाये तो मअ्ज़ूल करदे। (काफ़ी अज़ आलमगीरी जि.6 स.138)

मसअ्ला.25:– अगर क़ाज़ी के नज़्दीक वसी मुत्तहम होजाये (तोहमत लग जाये) तो क़ाज़ी उसके साथ दूसरे को मुक़र्रर करदेगा यह इमामे आज़म के नज़्दीक है लेकिन इमाम अबूयूसुफ़ के नज़्दीक क़ाज़ी उस मुत्तहम को वसियत से निकाल देगा। (आलमगीरी जि.6 स.139)

मसअ्ला.26:– वक़्फ़ के लिये वसी था या मय्यित के तर्का के लिये वसी था वह तर्का में मय्यित की वसियत पूरी करने में या वक़्फ़ का इन्तिज़ाम क़ाइम रखने में आजिज़ रहा तो हाकिम एक और क़य्यिस्म (क़ाइम करने वाला) मुक़र्रर करेगा फिर वसी ने कुछ दिनों के बाद कहा कि अब मैं उन चीज़ों को क़ाइम करने पर क़ादिर होगया हूँ जो मूसी ने मेरे सिपुर्द की थीं तो वह ब'दस्तूर वसी है हाकिम को दोबारा मुक़र्रर करने की ज़रूरत नहीं। (मुहीत अज़ आलमगीरी जि.6 स.139)

मसअ्ला.27:– मूसी ने दो आदमियों को अपना वसी बनाया तो दोनों में से एक तन्हा तसर्रुफ़ नहीं कर सकता और उसका तसर्रुफ़ बिग़ैर दूसरे की इजाज़त के नाफ़िज़ नहीं होगा लेकिन चन्द चीज़ों में हो सकता है जैसे मय्यित की तजहीज़ व तकफ़ीन मय्यित के दैन की अदाइगी वदीअ़त (अमानत) की वापसी और ग़सब'कर्दा चीज़ की वापसी हक़ूक़े मय्यित से मुतअ़ल्लिक़ मुक़द्दमात ना'बालिग़ वारिस के लिये हिबा क़बूल करना और जिस चीज़ की हलाकत का अन्देशा है उसे फ़रोख़्त करना लेकिन वह तन्हा मय्यित की वदीअ़त (अमानत) पर क़ब्ज़ा नहीं कर सकता न मय्यित का दैन वसूल

करके कब्ज़ा कर सकता है। (आलमगीरी जि.6 स.139)

मसअला.28:– मूसी ने वसियत की और दो आदमियों को वसी बनाया कि उसका इतना इतना माल उसकी तरफ़ से सदका करदें और किसी फ़कीर को मुअय्यन नहीं किया तो दोनों में से कोई वसी अकेले सदका नहीं करेगा और अगर मूसी ने फ़कीर को मुअय्यन कर दिया था तो एक वसी अकेले ही सदका कर सकता है। (आलमगीरी जि.6 स.139)

मसअला.29:– मूसी ने दो आदमियों को वसी बनाया और कहा कि तुम दोनों में से हर एक पूरा पूरा वसी है तो हर एक के लिये तन्हा तसर्रुफ़ करना जाइज है(खिज़ानतुल मुफ़तीन अज़ आलमगीरी जि.6 स.139)

मसअला.30:– एक शख़्स ने एक आदमी को किसी मख़्सूस व मुअय्यन शय में वसी बनाया और दूसरे आदमी को किसी दूसरी किस्म की चीज़ में वसी बनाया मसलन यह कहा कि मैंने तुझे अपने कर्ज़ों की अदायगी में वसी बनाया और दूसरे से कहा कि मैंने तुझे अपने उमूरे मालिया के कयाम में वसी बनाया तो उनमें से हर वसी तमाम कामों में वसी है। (फ़तावा काज़ीख़ाँ अज़ आलमगीरी जि.6 स.139)

मसअला.31:– किसी आदमी को अपने बेटे पर वसी बनाया और एक दूसरे आदमी को अपने दूसरे बेटे पर वसी बनाया या उसने एक वसी बनाया अपने मौजूदा माल में और दूसरे को वसी बनाया अपने ग़ाइब माल में तो अगर उसने यह शर्त लगादी थी कि उन दोनों में से कोई इस मुआमले में वसी नहीं होगा जिसका वसी दूसरा है तो जैसी उसने शर्त लगाई बिल इत्तिफ़ाक़ ऐसा ही होगा और अगर यह शर्त नहीं लगाई थी तो इस सूरत में हर वसी पूरे पूरे मुआमलात में वसी होगा(आलमगीरी)

मसअला.32:– एक शख़्स ने दो आदमियों को वसी बनाया फिर एक वसी का इन्तिकाल होगया तो ज़िन्दा बाकी रहने वाला वसी इस के माल में तसर्रुफ़ नहीं करेगा वह मुआमला काज़ी के सामने ले जायेगा अगर काज़ी मुनासिब ख़याल करेगा तो तन्हा इस को वसी बनादेगा और तसर्रुफ़ का इख़्तियार देदेगा या अगर मुनासिब समझेगा तो इस के साथी मरने वाले वसी के बदले में कोई दूसरा वसी मुकर्रर करेगा। (आलमगीरी जि.6 स.139)

मसअला.33:– एक शख़्स ने दो आदमियों को वसी बनाया तो उन दोनों वसियों में से किसी को यह इख़्तियार नहीं कि वह अपने साथी से यतीम के माल से कुछ ख़रीदें इसी तरह दो यतीमों के लिये दो वसी थे उनमें से किसी को यतीम का माल ख़रीदना जाइज़ नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.140)

मसअला.34:– एक शख़्स का इन्तिकाल हुआ उसने दो वसी बनाये थे फिर एक शख़्स आया और उसने मय्यित पर अपने दैन (कर्ज़) का दअ्वा किया दोनों वसियों ने बिग़ैर दलील काइम हुए उसका दैन अदा करदिया फिर उन दोनों वसियों ने काज़ी के पास जाकर इस दअ्वाए उधार पर शहादत दी तो उनकी शहादत कबूल नहीं की जायेगी और जो कुछ उन्होंने मुद्दई को दिया है वह उस के ज़ामिन हैं और अगर उन्होंने इसका दैन (उधार) अदा करने से पहले शहादत दी फिर काज़ी ने उन्हें दैन अदा करने का हुक्म दिया और उन्होंने अदा करदिया तो अब उन पर ज़मान नहीं(आलमगीरी जि.6स.140)

मसअला.35:– मय्यित के वसी ने मय्यित का दैन शाहिदों की शहादत के बाद अदा किया तो जाइज़ है और इस पर ज़मान नहीं और अगर बिग़ैर काज़ी के हुक्म के बाज़ का दैन अदा करदिया तो मय्यित के कर्ज़ख़्वाहों के लिये ज़ामिन होगा और अगर काज़ी के हुक्म से अदा किया तो ज़ामिन नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.140)

मसअला.36:– एक शख़्स ने दो आदमियों को वसी बनाया उनमें से एक का इन्तिकाल हुआ फिर मरते वक़्त उसने अपने साथी को वसी बनादिया तो यह जाइज़ है और अब उसको तन्हा तसर्रुफ़ करने का हक़ है। (फ़तावा काज़ीख़ाँ आलमगीरी जि.6 स.140)

मसअला.37:– वसी जब मरने के करीब हो तो उसको हक़ है कि वह दूसरे को वसी बनादे चाहे मूसी ने उसे वसी बनाने का इख़्तियार न दिया हो। (ज़ख़ीरा आलमगीरी जि.6 स.140)

मसअला.38:– एक शख़्स ने वसियत की और इन्तिकाल कर गया और उसके पास किसी की

वदीअत में (अमानतें) रखी हैं फिर एक वसी ने दूसरे वसी की इजाजत के बिगैर मय्यित के घर या अमानतें कब्ज़ा में करली या किसी एक वारिस् ने दोनों वसियों के इजाजत के बिगैर या बकिया वारिसों की इजाजत के बिगैर उन वदीअतों पर कब्ज़ा कर लिया और उसके कब्ज़े में आकर वह माले अमानत हलाक होगया तो उस पर जमान नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.140)

मसअ्ला.39:– दो वसी है उनमें से एक ने क़ब्रिस्तान तक जनाज़ा उठाने के लिये मजदूर किराये पर लिये और दूसरा वसी भी मौजूद है लेकिन ख़ामोश रहा तो यह जाइज है उजरत मय्यित के माल से अदा की जायेगी। (आलमगीरी जि.6 स.140) या वारिसों में से किसी ने दोनों वसियों की मौजूदगी में जनाज़ा उठाने के लिये मज़दूर किराये पर लिये और दोनों वसी ख़ामोश हैं तो जाइज है उनकी मजदूरी मय्यित के माल से दी जायेगी। (आलमगीरी जि.6 स.140)

मसअ्ला.40:– मय्यित ने दो वसियों को जनाज़ा उठाने से क़ब्ल फुक़रा को गन्दुम (गेहूँ) सदका करने की वसियत की उनमें से एक वसी ने गन्दुम सदका करदिया अगर यह गन्दुम मय्यित के माले मतरुका में मौजूद था तो जाइज हैं और दूसरे वसी को मनअ् करने का हक़ नहीं, अगर खरीदकर सदका किया तो ख़ुद उसकी तरफ़ से होगा, यही हुक्म कपडे और खाने का है।(आलमगीरी जि.6 स.140)

मसअ्ला.41:– एक शख़्स ने दो आदमियों को वसी बनाया और उनसे कहा कि मेरा सुलुस् माल जहाँ चाहो देदो या जिसको चाहो देदो फिर उनमें से एक वसी का इन्तिक़ाल होगया तो यह वसियत बातिल होजायेगी और यह सुलुस् माल वुरसा को मिल जायेगा और अगर यह वसियत की थी कि मैंने सुलुस् माल मसाकीन के लिये करदिया फिर एक वसी का इन्तिक़ाल होगया तो क़ाज़ी उसकी जगह अगर चाहे तो दूसरा वसी बनादे अगर चाहे तो ज़िन्दा रहने वाले वसी से कहे 'तू तन्हा उसको तक़सीम करदे। (आलमगीरी जि.6 स.141)

मसअ्ला.42:– दो ना'बालिग़ों के घरों के बीच में एक दीवार है उस दीवार पर उनका अपना अपना हमूला (बोझ) यानी वजनी सामान है और दीवार के गिरने का अन्देशा है और हर ना'बालिग़ के लिये एक वसी है उनमें से एक के वसी ने दूसरे के वसी से दीवार की मरम्मत का मुतालबा किया और दूसरे ने इनकार करदिया तो क़ाज़ी अमीन को भेजेगा कि अगर दीवार को इसी हालत में छोड़ देने से नुक़सान का ख़तरा है तो इनकार करने वाले वसी को मजबूर किया जायेगा कि वह दूसरे वसी के साथ मिलकर दीवार की मरम्मत कराये। (आलमगीरी जि.6 स.141)

मसअ्ला.43:– किसी शख़्स को यह वसियत की कि मेरा सुलुस् माल जहाँ तू पसन्द करे रखदे तो इस वसी के लिये जाइज़ है कि वह उस माल को अपनी ज़ात के लिये करे और अगर यह वसियत की थी कि जिसको चाहे देदे तो इस सूरत में वह यह माल ख़ुद को नहीं दे सकता(आलमगीरी जि.6 स.141)

मसअ्ला.44:– एक शख़्स ने किसी को वसी बनाया उस से कहा कि तू फुलाँ के इल्म के साथ अमल कर, तो वसी के लिये जाइज़ है कि वह फुलाँ के इल्म के बिग़ैर ही अमल करे, और अगर यह कहा था कि कोई काम न कर मगर फुलाँ के इल्म के साथ तो वसी के लिये जाइज़ नहीं कि वह फुलां के इल्म के बिग़ैर अमल करे। (आलमगीरी जि.6 स.141)

मसअ्ला.45:– अगर मय्यित ने वसी से यह कहा कि फुलाँ की राय से अमल कर या कहा अमल न करना मगर फुलाँ की राय से तो पहली सूरत में सिर्फ़ वसी मुख़ातब है वह तन्हा वसी रहेगा और दूसरी सूरत में वह दोनों वसी हैं। (खिजानतुल मुफतीन अज आलमगीरी जि.6 स.141)

मसअ्ला.46:– किसी शख़्स ने अपने वारिस् को वसी बनाया तो यह जाइज़ है अगर यह वसी अपने मूरिस् की मौत के बाद मरगया और एक शख़्स से यह कहा था कि मैंने तुझे अपने माल में वसी बनाया और उस मय्यित के माल में वसी बनाया जिस में मैं वसी हूँ तो यह दूसरा वसी दोनों के माल में वसी होगा। (फ़तावा क़ाज़ीख़ाँ अज़ आलमगीरी जि.6 स.141)

मसअ्ला.47:– एक शख़्स ने किसी को अपना वसी बनाया फिर एक और शख़्स ने उस मूसी को

अपना वसी बनादिया फिर यह दूसरा मूसी इन्तिकाल करगया तो मूसी अव्वल उसका वसी है फिर उसके बाद अगर मूसी अव्वल भी मरजाये तो उसका वसी उन दोनों मरने वालों का वसी होगा मिसाल के तौर पर जैद ने ख़ालिद को अपना वसी बनाया और करीम ने जैद को अपना वसी बनाया फिर दूसरा मूसी यानी करीम इन्तिकाल करगया तो जैद उसका वसी है और मूसी अव्वल जैद भी उसके बाद इन्तिकाल करगया तो उसका वसी ख़ालिद उन दोनों का वसी होगा [illegible]

मसअ्ला.48:– मरीज ने एक जमाअत को मुखातब करके मेरे मरने के बाद ऐसा करना अगर उन्होंने कबूल कर लिया तो वह सब वसी बन गये और अगर खामोश रहे फिर उसके मरने के बाद बाज ने कबूल कर लिया तो अगर कबूल करने वाले दो या ज्यादा हैं तो वह उसके वसी बन जायेंगे और उन्हें इस की वसियत नाफिज करने का हक है लेकिन अगर कबूल करने वाला एक है तो वह भी वसी बन जायेगा लेकिन उसे तन्हा वसियत नाफिज करने का इख्तियार नहीं तावक्ते कि वह हाकिम से रुजूअ् न करे हाकिम उसके साथ एक और वसी मुकर्रर करेगा। (आलमगीरी जि.6 स.14[illegible])

मसअ्ला.49:– दो वसियों में इस अम्र में इख्तिलाफ हुआ कि माल किसके पास रहेगा तो अगर माल काबिले तक़सीम है तो दोनों के पास आधा आधा रहेगा और अगर काबिले तकसीम न हो तो अगर दोनों चाहें तो किसी दूसरे के पास वदीअत रखदें और चाहें तो दोनों में से किसी एक के पास रहे सब सूरतें जाइज़ हैं। (आलमगीरी जि.6 स.142)

मसअ्ला.50:– यतीमों के लिये दो वसी थे उनमें से एक ने माल तकसीम कर लिया तो जाइज नहीं जब तक दोनों एक साथ मौजूद न हों या जो गाइब है उसकी इजाजत हासिल हो। [illegible] यही हुक्म ना'बालिग़ के माल के फरोख्त करने का है कि दोनों वसी हाजिर हों तो फरोख्त करना जाइज़ है, अगर एक गाइब है तो दूसरा उससे इजाजत लिये बिगैर फरोख्त नहीं कर सकता।

मसअ्ला.51:– वसी ने मय्यित की जमीन फरोख्त की ताकि उसका दैन अदा करदे और वसी के कब्जे में इतना माल है कि उस से मय्यित का उधार बेबाक करदे (यानी अदा करदे) इस सूरत में भी यह बैअ् जाइज़ है। (खिज़ानतुल मुफतीन अज आलमगीरी जि.6 स.142)

मसअ्ला.52:– बाप की तरफ़ से मुक़र्रर'कर्दा वसी नाबालिग के लिये माल का मुकासमा कर सकता है चाहे माल मन्कूला जायदाद हो या जायदादे गैर मन्कूला, इस में अगर मअ्मूली गड बड हो (यानी मअ्मूली गबन हो) तब भी जाइज है लेकिन अगर गबने फाहिश है (बड़ा गबन है) तो जाइज नहीं इस किस्म के मसाइल में अस्ल व क़ाइदा यह है कि जो शख्स किसी चीज को फरोख्त करने का इख्तियार रखता है उसे इस में मुक़ासमा करने का इख्तियार भी हासिल है। (आलमगीरी जि.6 स.142)

मसअ्ला.53:– वसी के लिये जाइज़ है कि मूसा'लहू के हिस्से की तकसीम करदे सिवाए अक्कार (यानी गैर मन्कूला जायदाद के इलावा) के और नाबालिगों का हिस्सा रोकले अगर्चे बाज बालिग और गाइब हों। (आलमगीरी जि.6 स.142)

मसअ्ला.54:– वसी ने वुरसा के लिये मूसी का माल तकसीम किया और तर्का में किसी शख्स के लिये वसियत भी है और मूसा'लहू गाइब है तो वसी की तकसीम गाइब मूसा'लहू पर जाइज नहीं मूसा'लहू अपनी वसियत में वुरसा का शरीक होगा और अगर तमाम वुरसा ना'बालिग हैं और वसी ने मूसा'लहू से माल तक़सीम किया और उसे सुलुस् माल देकर दो सुलुस् वुरसा के लिये रोक लिया तो यह जाइज़ है अब अगर वसी के पास से वह माल हलाक होगया तो वुरसा मूसा'लहू के हिस्से में शरीक न होंगे। (फतावा क़ाजीख़ाँ अज़ आलमगीरी जि.6 स.142)

मसअ्ला.55:– क़ाज़ी ने यतीम के लिये हर चीज में वसी मुकर्रर कर लिया फिर उसने जायदादे गैर मन्कूला में और सामान में तक़सीम की तो जाइज़ है जबकि काजी ने हर चीज में वसी मुकर्रर किया हो लेकिन अगर उसे यतीम के नफ़का और किसी ख़ास शय की हिफाजत के लिये वसी मुकर्रर किया तो उसे तक़सीम करना जाइज़ नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.142)

मसअ्ला.56:– किसी ने एक हजार दिरहम के सुलुस की वसियत की वुरसा ने यह काज़ी के हवाले कर दिये काज़ी ने उसको तक़सीम किया और मूसा'लहू गाइब है तो काज़ी की तक़सीम सहीह है यहाँ तक कि अगर मूसा'लहू के हिस्से के यह दिरहम हलाक होगये बाद में मूसा'लहू हाज़िर हुआ तो वुरसा के हिस्से में वह शरीक न होगा। (काफ़ी अज आलमगीरी जि.6 स.143)

मसअ्ला.57:– दो यतीमों के लिये एक वसी है इसने यतीमों के बालिग होजाने के बाद उनसे कहा कि मैं तुम दोनों को एक हजार दिरहम दे चुका हूँ उनमें से एक ने वसी की तस्दीक़ की और दूसरे ने तकज़ीब की और इन्कार किया तो इस सूरत में इन्कार करने वाला अपने भाई से ढाई सौ दिरहम लेने का हक़दार है और अगर दोनों ने वसी की बात तस्लीम करने से इन्कार कर दिया तो वसी पर उन के लिये कुछ नहीं और अगर वसी ने यह कहा था कि मैंने तुम में से हर एक को पाँच पाँच सौ दिरहम अलैहिदा अलैहिदा दिये थे और उनमें से एक ने तस्दीक़ की दूसरे ने इन्कार किया तो इस सूरत में इन्कार करने वाला वसी से ढाई सौ दिरहम ले लेगा। (आलमगीरी जि.6 स.143)

मसअ्ला.58:– एक शख़्स ने दो छोटे लडके छोडे और उनके लिये वसी बनादिया, उन्होंने बालिग़ होने के बाद वसी से अपनी मीरास् तलब की, वसी ने कहा कि तुम्हारे बाप का कुल तर्का एक हजार दिरहम था और मैं तुम में से हर एक पर पाँच पाँच सौ दिरहम ख़र्च कर चुका हूँ उन दोनों बेटों में से एक ने वसी की तस्दीक़ की और दूसरे ने इन्कार किया तो इन्कार करने वाला तस्दीक़ करने वाले से ढाई सौ दिरहम ले लेगा वसी से कुछ नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.143)

मसअ्ला.59:– जो वसी बच्चे की माँ ने मुक़र्रर किया वह उस बच्चे के लिये उसकी वह मन्कूला जायदाद व तक़सीम करने का हक़दार है जो बच्चे को उसकी माँ की तरफ़ से मिली है, यह हक़ उस वक़्त है जब बच्चे का बाप ज़िन्दा न हो और न बाप का वसी, लेकिन उन दोनों में से अगर एक भी है तो माँ के वसी को तक़सीम का हक़ नहीं लेकिन माँ का वसी किसी हाल में भी बच्चे के लिये उसकी जायदादे ग़ैर मन्कूला (वह जायदाद जो एक जगह से दूसरी जगह मुन्तक़िल न हो सके) नहीं कर सकता और न उसे इस जायदाद की तक़सीम का इख़्तियार है जो बच्चे की माँ के एलावा किसी और से मिली चाहे वह जायदादे मन्कूला हो या ग़ैर मन्कूला। यही हुक्म ना'बालिग़ के भाई के वसी और उसके चचा के वसी का है। (आलमगीरी जि.6 स.143)

मसअ्ला.60:– बाप के वसी ने बाप के तर्का से कुछ फ़रोख़्त किया तो इसकी दो सूरतें हैं एक यह कि मय्यित पर दैन न हो और न वसियत हो दूसरी सूरत यह है कि मय्यित पर दैन हो या उसने वसियत की हो तो पहली सूरत में हुक्म यह है। (किताबुस्सग़ीर में है) वसी के लिये यह जाइज़ है कि वह हर चीज़ फ़रोख़्त कर सकता है ख़्वाह वह ज़मीन हो या अस्बाब जब कि वुरसा ना'बालिग़ हों, दूसरी सूरत यह है कि अगर मय्यित पर दैन है और पूरे तर्का के बराबर है तो कुल तर्का फ़रोख़्त करना बिल'इजमाअ् जाइज़ है। अगर दैन पूरे तर्का के बराबर नहीं तो बक़द्र दैन तर्का फ़रोख़्त करेगा। (काफ़ी अज़ आलमगीरी जि.6 स.145)

मसअ्ला.61:– अगर वसी ने अपने माल से मय्यित को कफ़न दिया तो वह मय्यित के माल से लेगा और यही हुक्म वारिस् का भी है। (उक़ूदुद्दुर्रिया बजाज़िया बर'हामिश हिन्दिया जि.6 स.446)

मसअ्ला.62:– अगर वसी या वारिस् ने मय्यित का दैन अपने माल से अदा किया तो वह मय्यित के माल से लेने का मुस्तहक़ है। (उक़ूदुद्दुर्रिया बज़ाजिया बर'हामिश हिन्दिया जि.6 स.446)

मसअ्ला.63:– बाप की तरफ़ से छोटे बच्चे के लिये जो वसी मुक़र्रर है उसे बच्चे की जायदादे ग़ैर'मन्कूला सिर्फ़ इस सूरत में फ़रोख़्त करने का इख़्तियार व इजाज़त है जब मय्यित पर दैन हो जो सिर्फ़ ज़मीन की क़ीमत से ही अदा किया जा सकता है या बच्चे के लिये ज़मीन की क़ीमत की ज़रूरत हो या कोई ख़रीदार ज़मीन की दोगुनी क़ीमत अदा करने को तैयार हो(आलमगीरी जि.6 स.145)

मसअ्ला.64:– वसी ने यतीम के लिये कोई चीज़ ख़रीदी अगर उसमें ग़ब्ने फ़ाहिश है यानी खुली

बेईमानी है तो यह खरीदारी जाइज नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.145)

मसअला.65:– वुरसा अगर बालिग व हाजिर हैं तो उनकी इजाजत के बिगैर वसी को मय्यित के तर्का से कुछ फरोख्त करना जाइज नहीं अगर बालिग वुरसा मौजूद नहीं हैं तो उनकी अदम मौजूदगी में वसी को जायदादे गैर मन्कूला को फरोख्त करना जाइज नहीं, जायदादे गैर मन्कूला के इलावा और चीजों की बैअ जाइज है जायदादे गैर मन्कूला को सिर्फ इस सूरत में वसी को फरोख्त करना जाइज है जबकि उसके जाइअ व हलाक होने का खतरा हो। अगर मय्यित ने वसियत मुरसला (मुतलका) की तो वसी बकद्र वसियत बैअ करने का बिल इत्तिफाक मालिक है और इमामे आजम के नज्दीक कुल की बैअ कर सकता है। (आलमगीरी जि.6 स.145)

मसअला.66:– अगर वुरसा में कोई ना बालिग बच्चा है और बाकी सब बालिग हैं और मय्यित पर कोई दैन और उसकी कोई वसियत भी नहीं और तर्का सब ही अज किस्मे माल व अस्बाब है (यानी जायदादे गैर मन्कूला नहीं) तो वसी ना बालिग बच्चे का हिस्सा फरोख्त कर सकता है और इमामे आजम रहमतुल्लाहि अलैहि के नज्दीक वह वसी बाकी मान्दा बडों के हिस्से को भी बैअ कर सकता है और अगर वह कुल की बैअ करेगा तो उसकी बैअ जाइज होगी। (आलमगीरी जि.6 स.144)

मसअला.67:– माँ का इन्तिकाल हुआ उसने ना बालिग बच्चा छोडा और उसके लिये वसी बनाया तो उस वसी को बजुज जायदादे गैर मन्कूला उसके तर्का से हर चीज बैअ करना जाइज है और इस वसी को इस बच्चे के लिये खाने, कपडे के एलावा कोई और चीज खरीदना जाइज नहीं आलमगीरी

मसअला.68:– एक शख्स का इन्तिकाल हुआ उसने अपने ना बालिग बच्चे छोडे और अपने बाप को छोडा और किसी को अपना वसी नहीं बनाया इस सूरत मे मय्यित का बाप (यानी बच्चों का दादा) वसी की जगह समझा जायेगा उसे बच्चों की हिफाजत और माल मे हर किस्म के तसर्रुफात का इख्तियार है लेकिन अगर मय्यित पर दैने कसीर (ज्यादा कर्ज) हो तो इस मय्यित के बाप को दैन की अदायगी के लिये उसका तर्का फरोख्त करने का इख्तियार नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.145)

मसअला.69:– मय्यित के वसी ने दुयून (कर्जों) की अदायगी के लिये उसका तर्का फरोख्त किया और दैन तर्का को मुहीत (घेरे हुए) नहीं है तो जाइज है लेकिन अगर तर्का में दैन नहीं है और वारिसों में छोटे बच्चे भी हैं और काजी ने कुल तर्का फरोख्त करदिया तो यह बैअ नाफिज हो जायेगी। (आलमगीरी जि.6 स.146)

मसअला.70:– मय्यित ने बाप छोड़ा और वसी भी छोडा तो वसी ज्यादा मुस्तहक है बाप से अगर उसने वसी नहीं बनाया था तो बाप मुस्तहक है और बाप भी नहीं तो दादा फिर दादा का वसी काजी की तरफ से मुकर्रर किया हुआ वसी। (आलमगीरी जि.6 स.146)

मसअला.71:– बच्चा माँ का वारिस हुआ और उसका बाप निहायत फुजूल खर्च है और यह मम्नूउत्तसर्रुफ होने के लाइक है तो इस सूरत में उस बाप को उसके माल में विलायत नहीं (आलमगीरीजि.6 स.146) यानी वह बच्चे के माल में तसर्रुफ का मालिक नहीं होगा।

मसअला.72:– काजी ने यतीम बच्चे के लिये वसी मुकर्रर किया तो काजी का यह वसी उसके बाप के वसी की जगह होगा अगर काजी ने उसे तमाम मुआमलात में वसी–ए–आम बनाया है और अगर काजी ने उसे किसी खास मुआमला में वसी बनाया तो उस मुआमले के साथ खास रहेगा दूसरे मुआमलात में उसे कुछ इख्तियार नहीं ब खिलाफ उस वसी के जिस को बाप ने मुकर्रर किया कि उसे किसी मुआमला के साथ खास नहीं किया जा सकता यानी अगर उसने किसी को एक मुआमला में वसी बनाया तो वह हर मुआमला में वसी रहेगा। (फतावा काजीखाँ अज आलमगीरी जि.6 स.146)

मसअला.73:– वसी ने मय्यित के तर्का से कोई चीज उधार फरोख्त की अगर उसमें यतीम के नुकसान का अन्देशा हो मसलन यह कि खरीदार कीमत देने से इन्कार करदे या मीआदे मुकर्ररा पर उस से कीमत वसूल न होने का अन्देशा हो तो इस सूरत में यह बैअ जाइज नहीं और अगर

अन्देशा न हो तो जाइज़ है। (आलमगीरी जि.6 स.146)

मसअ्ला.74:– यतीम का एक घर है एक शख़्स ने उसे आठ रुपये माहाना पर किराये पर लेना चाहा और दूसरा उसे दस रुपये माहाना किराये पर लेना चाहता है लेकिन आठ रुपये माहाना देने वाला मालदार व क़ादिर हो (यानी किराया देता रहेगा) तो घर इसको दिया जायेगा दस रुपये माहाना वाले को नहीं जब कि इस से किराया न देने का अन्देशा हो। (आलमगीरी जि.6 स.146)

मसअ्ला.75:– वसी ने यतीम के माल में से कोई चीज़ सहीह क़ीमत पर फ़रोख़्त की दूसरा उस से ज़्यादा देकर लेना चाहता है तो काज़ी यह मुआमला ईमानदार माहिरीने क़ीमत के सिपुर्द करदेगा अगर उनमें से दो साहिबे अमानत लोगों ने कह दिया कि वसी ने उसे सहीह क़ीमत पर फ़रोख़्त किया है और इस की क़ीमत यही है तो काज़ी ज़्यादा क़ीमत देने वाले की तरफ़ तवज्जोह न करेगा यही हुक्म माले वक़्फ़ को इजारा पर देने का है। (फ़तावा काज़ीख़ाँ अज़ आलमगीरी जि.6 स.146)

मसअ्ला.76:– एक शख़्स का इन्तिक़ाल हुआ उसने सुलुस् माल की वसियत की और मुख़्तलिफ़ क़िस्म की जायदादे ग़ैर मन्क़ूला छोड़ीं अब वसी उनमें से किसी एक जायदाद को मय्यित की वसियत पूरी करने के लिये फ़रोख़्त करना चाहता है तो वुरसा को यह हक़ है कि वह सिर्फ़ इस सूरत में अपनी रज़ामन्दी दें जब मय्यित की हर क़िस्म की जायदाद ग़ैर मन्क़ूला से एक सुलुस् फ़रोख़्त किया जाये अगर उसकी हर जायदाद में से उस का सुलुस् फ़रोख़्त करना मुम्किन हो। (आलमगीरी)

मसअ्ला.77:– एक औरत का इन्तिक़ाल हुआ उसने वसियत की कि मेरा माल व मताअ् फ़रोख़्त किया जाये और उसकी क़ीमत का सुलुस् (तिहाई हिस्सा) फ़ुक़रा पर ख़र्च किया जाये उसके बालिग़ वुरसा भी हैं अब वसी ने चाहा कि उसका तमाम साज़ व सामान फ़रोख़्त करदे वुरसा ने इनकार किया और बक़द्रे वसियत फ़रोख़्त करने को कहा अगर सुलुस् माल की ख़रीदार में नक़्स व ख़राबी है और इस से वुरसा और अहले वसियत (गोश्त'लहुम) को नुक़सान पहुँचता है तो वसी को कुल माल फ़रोख़्त कर देने का इख़्तियार है वरना नहीं सिर्फ़ इतना फ़रोख़्त करेगा जिस में वसियत पूरी की जा सके। (ज़ख़ीरा अज़ आलमगीरी जि.6 स.147)

मसअ्ला.78:– वसी को माले यतीम से तिजारत करना जाइज़ है। (मबसूत अज़ आलमगीरी जि.6 स.147)

मसअ्ला.79:– वसी के लिये यह जाइज़ नहीं कि वह यतीम या मय्यित के माल से अपनी ज़ात के लिए तिजारत करे अगर उसने तिजारत की और मुनाफ़अ् हुआ तो वह यतीम या मय्यित के अस्ल माल का ज़ामिन होगा और मुनाफ़अ् को सदक़ा करेगा। (फ़तावा काज़ीख़ाँ अज़ आलमगीरी जि.6 स.147)

मसअ्ला.80:– वसी माले यतीम से यतीम को फ़ायदा पहुँचाने के लिये तिजारत कर सकता है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.81:– वसी ने मय्यित के तर्का का कुछ हिस्सा तवील मुद्दत के लिये इजारा पर दिया ताकि उससे मय्यित का दैन (उधार) अदा करदे तो यह जाइज़ नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.147)

मसअ्ला.82:– एक शख़्स का इन्तिक़ाल हुआ वह मदयून है (यानी उस पर उधार है) उसने वसी बनाया और वसी ग़ाइब है किसी वारिस् ने उसका तर्का फ़रोख़्त किया और उसका दैन अदा करदिया और उसकी वसियतों को नाफ़िज़ कर दिया तो यह बैअ् फ़ासिद होगी लेकिन अगर क़ाज़ी के हुक्म से बैअ् किया था तो बैअ् जाइज़ है यह इस सूरत में है जब कि पूरा तर्का दैन में मुस्तग़रक़ हो अगर तर्का दैन में मुस्तग़रक़ नहीं है तो वारिस् का तसर्रुफ़ सिर्फ़ उसी के हिस्से में नाफ़िज़ होगा। (आलमगीरी जि.6 स.147) मगर यह कि मबीअ् अगर बैते मोअय्यन (यानी मख़सूस घर) हो तो उस सूरत में वारिस् का तसर्रुफ़ उसी के हिस्से में ही नाफ़िज़ होगा।

मसअ्ला.83:– बालिग़ वारिस् ने मय्यित के तर्का से या उसकी ग़ैर'मन्क़ूला जायदाद से कुछ फ़रोख़्त किया फिर भी मय्यित पर दैन और वसियतें बाक़ी रह गईं वसी ने चाहा कि वारिस् की बैअ् को रद्द करदे तो अगर वसी के क़ब्ज़े में उसके एलावा भी मय्यित का कुछ माल है जिसे फ़रोख़्त करके वह मय्यित का क़र्ज़ और वसियतें बेबाक कर सकता है तो वह वारिस् की बैअ् को रद्द नहीं करेगा। (आलमगीरी जि.6 स.147)

मसअ्ला.84:– वसी अगर यतीम का माल किसी को क़र्ज़ देना चाहे तो उसको यह इख़्तियार नहीं
है। (मुहीत अज़ आलमगीरी जि.6 स.147) अगर क़र्ज़ देगा तो ज़ामिन होगा।

मसअ्ला.85:– मय्यित के वसी या बाप ने यतीम का माल अपने दैन (उधार) में रहन कर दिया तो
जाइज़ इस्तिहसानन (एहसान के तौर पर) जाइज़ है अगर वसी ने यतीम के माल से अपना क़र्ज़ अदा
किया तो जाइज़ नहीं अगर बाप ने ऐसा किया तो जाइज़ है। (आलमगीरी जि.6 स.147)

मसअ्ला.86:– वसी ने बच्चे को किसी अ़मले ख़ैर के लिये उजरत पर रखा तो यह जाइज़ है(आलमगीरी)

मसअ्ला.87:– वसी ने यतीम के लिये कोई अजीर उससे ज़्यादा उजरत पर लिया जो उसकी है
तो यह इजारा जाइज़ है लेकिन उसे इतनी ही उजरत दी जायेगी जो उसकी होती है और जो
ज़्यादा है वह उस यतीम बच्चे को वापस करदी जायेगी। (आलमगीरी जि.6 स.148)

मसअ्ला.88:– वसी ने ना'बालिग़ बच्चे का मकान उससे कम किराये पर दिया जितना किराया उस
का लेना चाहिए था तो मुस्ताजिर को यानी मकान किराये पर लेने वाले को उस का पूरा किराया
देना लाज़िम है (यानी इतना किराया जितने किराये का उस जैसा मकान मिलता है) लेकिन अगर कम किराया लेने
में यतीम का फ़ायदा है तो कम किराये पर मकान देना वाजिब है।(आलमगीरी जि.6 स.148)

मसअ्ला.89:– वसी अपनी ज़ात को ना'बालिग़ यतीम का आजिर (उजरत पर काम लेने वाला) नहीं बना
सकता लेकिन बाप यानी यतीम का दादा अजीर (उजरत पर काम करने वाला) बन सकता है और इस
यतीम को अपना अजीर बना सकता है। (कुदूरी अज़ आलमगीरी जि.6 स.147)

मसअ्ला.90:– वसी के लिये यह जाइज़ नहीं कि वह यतीम के माल को बिलमुआवज़ा या बिला
मुआवज़ा हिबा करे बाप के लिये भी यही हुक्म है। (फ़तावा क़ाज़ी ख़ाँ अज़ आलमगीरी जि.6 स.148)

मसअ्ला.91:– वसी ने ना'बलिग़ यतीम का माल ख़ुद अपने हाथ फ़रोख़्त किया या अपना माल
यतीम ना'बालिग़ के हाथ फ़रोख़्त किया तो अगर उन सौदों (ख़रीद व फ़रोख़्त) में यतीम के लिये खुला
हुआ नफ़अ् है तो जाइज़ है अगर मन्फ़अ़ते ज़ाहिरा (खुला हुआ नफ़अ) नहीं है तो जाइज़ नहीं मन्फ़अ़ते
ज़ाहिरा की तशरीह बाज़ मशाइख़ उलमा ने यह की है कि यतीम का सौ का माल सवा सौ में
फ़रोख़्त करे या अपना सौ का माल पिछहत्तर रुपये में यतीम को देदे। (आलमगीरी जि.6 स.148)

मसअ्ला.92:– दो यतीमों के एक वसी ने एक यतीम का माल दूसरे यतीम को फ़रोख़्त किया तो
जाइज़ नहीं। (ज़ख़ीरा अज़ आलमगीरी जि.6 स.48)

मसअ्ला.93:– मय्यित के बाप ने या उसके वसी ने ना'बालिग़ को तिजारत की इजाज़त देदी तो
सहीह है और उस ना'बालिग़ के ख़रीद व फ़रोख़्त करते वक़्त उनका सुकूत भी इजाज़त है, और
अगर ना'बालिग़ के बालिग़ होने से पहले मय्यित के बाप का या वसी का इन्तिक़ाल होगया तो
उनकी इजाज़त बातिल होजायेगी। अगर ना'बालिग़ बालिग़ होगया और बाप या वसी ज़िन्दा है तो
इजाज़त बातिल नहीं होगी। (आलमगीरी जि.6 स.148)

मसअ्ला.94:– ना'बालिग़ का माल फ़रोख़्त करने के लिये बाप ने या वसी ने वकील बनाया फिर
बाप का इन्तिक़ाल होगया या ना'बालिग़, बालिग़ होगया तो वकील मअ़ज़ूल होजायेगा(आलमगीरी जि.6 स.149)

मसअ्ला.95:– क़ाज़ी ने ना'बालिग़ को या कम'समझ को तिजारत की इजाज़त देदी तो सहीह है(आलमगीरी)

मसअ्ला.96:– क़ाज़ी ने ना'बालिग़ को तिजारत की इजाज़त देदी और बाप या वसी ने मना किया
तो उनका मना करना बातिल है और ऐसे ही अगर इजाज़त देने वाले क़ाज़ी का इन्तिक़ाल होगया
तो यह इजाज़त उस वक़्त तक मम्नूअ् न होगी जब तक दूसरा क़ाज़ी मम्नूअ् न क़रार दे। (आलमगीरी)

मसअ्ला.97:– वसी के लिये यह जाइज़ है कि वह यतीम के माल से उसका सदक़ा–ए–फ़ित्र अदा
करदे या उसके माल से उसकी तरफ़ से क़ुर्बानी करे जब कि यतीम मालदार हो (आलमगीरी जि.6 स.149)

मसअ्ला.98:– वसी को इख़्तियार नहीं कि वह मय्यित के क़र्ज़दारों को बरी करदे या उनके ज़िम्मा
क़र्ज़ में से कुछ कम करदे या क़र्ज़ की अदायगी के लिये मीआ़द मुक़र्रर करे जब कि वह दैन
मय्यित के ख़ुद अपने किये हुए मुआ़मला का हो और अगर मुआ़मला वसी ने किया था उसका दैन

है तो वसी को मदयून (मकरूज) को बरी करने या दैन को कम करने या उसकी मुद्दत मुकर्रर करने का इख्तियार है लेकिन उसके नुकसान का ज़ामिन होगा। (आलमगीरी जि.6 स.149)

मसअला.99:– वसी ने मय्यित के किसी कर्ज़दार से मय्यित के दैन में मुसालहत करली अगर मय्यित की तरफ से इस दैन का सुबूत है या कर्ज़दार खुद इक़रारी है या काज़ी को उसके हक़ का इल्म है तो इन तमाम सूरतों में वसी की यह मुसालहत जाइज़ नहीं, अगर इस हक़े (दैन) पर दलील व बय्यिना काइम नहीं है तो वसी का मुसालहत कर लेना जाइज़ है लेकिन अगर वसी ने उस दैन में सुलह की जो मय्यित पर वाजिब था या यतीम पर था तो अगर मुद्दई के पास दलील व बय्यिना है या काज़ी ने मुद्दई के हक़ में फ़ैसला करदिया तो वसी का सुलह कर लेना जाइज़ है और अगर मुद्दई के लिये उसके हक़ में दलील नहीं है और न काज़ी ने मुद्दई के हक़ में फ़ैसला दिया तो सुलह करना जाइज़ नहीं।(आलमगीरी जि.6 स.149)

मसअला.100:– वसी यतीम का माल लेकर किसी ज़ालिम व जाबिर के पास से गुज़रा और उसे अन्देशा है कि अगर उसने उस के साथ हुस्ने सुलूक न किया यानी उसे कुछ न दिया तो यह सब माल उसके कब्ज़े से निकल जायेगा उसने यतीम के माल से उसको कुछ देदिया तो इस्तिहसानन जाइज़ है यही हुक्म मुज़ारिब के लिये है माले मुज़ारबत में। (आलमगीरी जि.6 स.150)

मसअला.101:– वसी ने क़ाज़ी की अदालत में मुक़द्दमात पर ख़र्च किया और बतौर इजारा कुछ दिया तो वसी उसका ज़ामिन नहीं लेकिन बतौर रिश्वत कुछ ख़र्च किया है तो उसका ज़ामिन है, फुक़हा फ़रमाते हैं अपनी जान और माल से रफ़ए ज़ुल्म (अपने को ज़ुल्म से बचाने) के लिये माल ख़र्च करना उसके हक़ में रिश्वत देने में दाखिल नहीं. लेकिन अगर दूसरे पर कोई हक़ है उस हक़ को निकलवाने में माल ख़र्च करना रिश्वत है। (आलमगीरी जि.6 स.150)

मसअला.102:– एक शख़्स का इन्तिक़ाल हुआ और उसने अपनी औरत को वसी बनाया और नाबालिग़ बच्चे और तर्का छोड़ा फिर उसके घर ज़ालिम हुक्मराँ आया उस वसी औरत से कहा गया कि अगर तू इसको कुछ नहीं देगी तो यह घर और जायदाद ग़ैर मन्कूला पर क़ब्ज़ा और ग़ल्बा करेगा इस वसी औरत ने जायदाद ग़ैर मन्कूला से उसे कुछ देदिया तो यह मुआमला सहीह है(आलमगीरी)

मसअला.103:– वसी ने यतीम का माल यतीम की तअ्लीमे कुर्आन और अदब में ख़र्च किया गया अगर बच्चा उसकी (यानी तअ्लीमे अदब की) सलाहियत रखता था तो जाइज़ है बल्कि वसी सवाब पायेगा और अगर बच्चे में इल्म हासिल करने की सलाहियत नहीं बक़द्र ज़रुरत नमाज़ कुर्आन की तअ्लीम दिलाये। (आलमगीरी जि.6 स.150 व दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.504 अला हामिश रद्दुलमुहतार)

मसअला.104:– वसी को चाहिए कि वह बच्चे के नफ़क़ा में वुस्अत करे न फुज़ूल ख़र्ची करे न तंगी यह वुस्अत बच्चे के माल और हाल के लिहाज़ से होगी वसी को बच्चे के माल और हाल को देख कर उसके लाइक़ ख़र्चा करेगा। (आलमगीरी जि.6 स.150)

मसअला.105:– वसी अगर यतीम के कामों के लिये जायेगा और यतीम के माल से सवारी किराये पर लेगा और अपने ऊपर ख़र्च करेगा तो इस्तिहसानन यह उसके लिये जाइज़ है बशर्ते कि वह ख़र्चा ज़रूरी व नागुज़ीर हो। (आलमगीरी जि.6 स.150 दुर्रेमुख़्तार अला रद्दिलमुहतार जि.5 स.504)

मसअला.106:– वसी ने मय्यित के तर्का से अगर कोई चीज़ अपने लिये ख़रीदी और मय्यित का छोटा बड़ा कोई वारिस् नहीं है तो जाइज़ है। (फ़तावा क़ाज़ीख़ाँ अज़ आलमगीरी जि.6 स.150)

मसअला.107:– एक शख़्स का इन्तिक़ाल हुआ और उसके पास मुख़्तलिफ़ लोगों की वदीअतें (अमानतें) थीं उसने तर्का में माल छोड़ा लेकिन उस पर दैन है जो उसके पूरे माल को मुहीत है और वसी ने मय्यित के घर से तमाम वदीअतों पर क़ब्ज़ा कर लिया ताकि वह वदीअत रखने वालों को वापस करदे या उसने मय्यित के तमाम माल पर क़ब्ज़ा कर लिया ताकि उससे मय्यित का दैन अदा करदे फिर वह माल या वदीअतें वसी के क़ब्ज़े में हलाक होगईं तो वसी पर कोई ज़मान नहीं इसी तरह अगर मय्यित पर दैन न था और वसी ने मय्यित के तमाम माल को क़ब्ज़े में लिया फिर वह माल हलाक होगया तो भी वसी पर कोई ज़मान नहीं। (ज़ख़ीरा अज़ आलमगीरी जि.6 स.151)

मसअला.108:– एक शख़्स ने अपना माल किसी के पास अमानत रखा और कहा कि अगर मैं मरजाऊँ तो यह माल मेरे बेटे को देदेना और उसने वह माल बेटे को देदिया और उसके दूसरे

वारिस् भी हैं तो वसी वारिस् के हिस्से का ज़ामिन होगा और उन अलफ़ाज से वह वसी नहीं बन जायेगा। (ज़खीरा अज आलमगीरी जि.6 स.151)

मसअ्ला.109:– मरीज़ के पास उसके अज़ीज़ व अक़ारिब हैं जो उसके माल से खा पी रहे हैं अगर मरीज़ उनकी आमद व रफ़्त का अपने मर्ज में मोहताज है और वह उसके और उसके एयाल के साथ बिग़ैर इस्राफ़ के खाते पीते हैं तो इस्तिहसानन उनपर कोई ज़मान नहीं अगर मरीज़ उन का मोहताज नहीं है तो अगर वह मरीज़ के हुक्म से खाते पीते हैं तो जो उनमें से वारिस् हैं उनपर उनके खाने पीने के ख़र्चा का ज़मान है और जो वारिस् नहीं उनका ख़र्चा मय्यित के सुलुस् माल में महसूब होगा (तिहाई माल में शुमार होगा) अगर मरीज़ ने उसका हुक्म दिया था। (आलमगीरी जि.6 स.151)

मसअ्ला.110:– वसी ने दअ्वा किया कि मय्यित के ज़िम्मे मेरा दैन है तो क़ाज़ी उसके दैन की अदायेगी के लिये वसी मुक़र्रर करेगा जो सुबूत क़ाइम होने के बाद उसका दैन अदा करदेगा और क़ाज़ी मय्यित के वसी को वसी होने से ख़ारिज नहीं करेगा इसी पर फ़तवा है। (आलमगीरी जि.6 स.151)

मसअ्ला.111:– मय्यित ने अपनी बीवी को वसी बनाया और माल छोड़ा और बीवी का मय्यित पर महर है तो अगर मय्यित ने उसके महर के बराबर सोना चाँदी छोड़ा है तो बीवी के लिये जाइज़ है कि वह उस सोने चाँदी से अपना महर लेले, और अगर मय्यित ने सोना चाँदी नहीं छोड़ा है तो बीवी के लिये जाइज़ है कि वह उस चीज़ को फ़रोख़्त करदे जो फ़रोख़्त करने के लिये ज़्यादा मुनासिब है और उसकी क़ीमत से अपना महर लेले। (आलमगीरी जि.6 स.153)

मसअ्ला.112:– मय्यित पर दैन है और जिसका दैन है वह उसका वारिस् या वसी है तो उसको यह हक़ है कि वारिसों के इल्म में लाये बिग़ैर अपना हक़ लेले। (आलमगीरी जि.6 स.153)

मसअ्ला.113:– एक शख़्स का इन्तिक़ाल हुआ उस ने ना'बालिग़ बच्चे छोड़े और किसी को वसी नहीं बनाया फिर क़ाज़ी ने किसी शख़्स को वसी मुक़र्रर किया फिर एक आदमी ने मय्यित पर अपने दैन का या वदीअ़त का दावा किया और बीवी ने अपने महर का दावा किया इस सूरत में दैन या वदीअ़त की अदायगी तो सुबूत होजाने के बाद की जायेगी, लेकिन निकाह अगर मारूफ़ है तो महर के बारे में औरत का क़ौल मोअ्तबर है अगर वह महरे मिस्ल के अन्दर है, वह महर औरत को दिया जायेगा। (फ़तावा क़ाज़ी ख़ाँ जि.6 स.154)

मसअ्ला.114:– वसी ने मय्यित की वसियत अपने माल से अदा करदी अगर यह वसी वारिस् है तो मय्यित के तर्के से लेलेगा वरना नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.155) और फ़तवा यह है कि वसी हर हाल में मय्यित के तर्के से अपना माल लेलेगा।

मसअ्ला115:– वसी ने इक़रार किया कि मैंने मय्यित का दैन जो लोगों पर था क़ब्ज़ा करलिया फिर एक मक़रूज़ आया और वसी से कहा कि मैंने तुझे मय्यित के दैन का इतना, इतना रूपया दिया, या वसी ने इनकार किया और कहा कि मैंने तुझसे कुछ भी नहीं लिया और न मुझे इल्म है कि तुझ पर मय्यित का क़र्ज़ा था तो इस सूरत में वसी का क़ौल क़सम लेकर तस्लीम करलिया जाये। (मुहीत अज़ आलमगीरी जि.6 स.154)

मसअ्ला.116:– वसी ने ना'बालिग़ बच्चों के लिये कपड़ा ख़रीदा या जो कुछ उनका ख़र्च है वह ख़रीदता रहता है अपने माल से तो वह यह मय्यित के माल और तर्के से लेलेगा यह वसी की तरफ़ से ततव्वोअ़न या एहसान के तौर पर नहीं है। (आलमगीरी जि.6 स.155)

मसअ्ला.117:– कोई मुसाफ़िर किसी आदमी के घर आया और उसका इन्तिक़ाल होगया उसने किसी को वसी भी नहीं बनाया और जो कुछ रूपये छोड़े तो मुआमला हाकिम के सामने पेश होगा और उसको हाकिम के हुक्म से दरम्यानी दर्जे का कफ़न दिया जायेगा और अगर हाकिम न मिले तो भी दरम्यानी दर्जे का कफ़न दिया जायेगा और अगर उस मय्यित पर दैन है तो यह शख़्स उसके माल को दैन की अदायगी के लिये फ़रोख़्त न करेगा (फ़तावा क़ाज़ीख़ाँ अज़ आलमगीरी जि.6 स.155)

मसअ्ला.118:– औरत ने अपने सुलुस् माल की वसियत की और किसी को अपना वसी बनादिया, उस वसी ने उसकी कुछ वसियतों को नाफ़िज़ कर दिया और कुछ वुरसा के क़ब्ज़े में बाक़ी रहगई अगर वुरसा दयानतदार हैं और वसी को उनकी दयानत का इल्म है कि मय्यित के सुलुस् माल से

उन बाक़ी रही वसियतों को पूरा कर देंगे तो उसको उनके लिये छोड़ देना जाइज़ है और उसका इल्म उसके ख़िलाफ़ है तो वसी उनके लिये न छोड़ेगा बशर्तेकि वह वुरसा से माल बरआमद कर सकता हो। (आलमगीरी जि.6 स.155)

मसअ्ला.119:– वसी ने यतीम से कहा कि मैंने तेरा माल तेरे नफ़्क़ा में ख़र्च कर दिया फ़ुलाँ फ़ुलाँ चीज में, फ़ुलाँ फ़ुलाँ सामान में, अगर इतनी मुद्दत में इतना माल नफ़्क़ा में ख़र्च होजाता है तो वसी की तस्दीक़ करदी जायेगी ज़्यादा में नहीं नफ़्क़ा–ए–मिस्ल का मतलब यह है कि बैन बैन हो न इसराफ़ (फ़ुज़ूल ख़र्ची) न तंगी। (मुहीत अज आलमगीरी जि.6 स.155)

मसअ्ला.120:– वसी ने दअ्वा किया कि उसने यतीम को हर माह सौ रुपये दिये और यह मुक़र्ररा था और यतीम ने उसको ज़ाइअ् करदिया फिर मैंने उसे उसी माह दूसरे सौ रुपये दिये, इस सूरत में वसी की तस्दीक़ की जायेगी जब तक वसी सरासर और खुली हुई ग़लत बात न कहे मस्लन यह कहे कि मैंने इस यतीम को एक माह में बहुत बार सौ सौ रुपये दिये और उसने ज़ाइअ् कर दिये तो ऐसी बात वसी की नहीं मानी जायेगी। (आलमगीरी जि.6 स.156)

मसअ्ला.121:– वसी ने यतीम से यह कहा कि तूने अपने छुटपन में उस शख़्स का इतना इतना माल हलाक करदिया फिर मैंने अपनी तरफ़ से अदा करदिया यतीम ने उसकी तकज़ीब की और नहीं माना तो यतीम की बात क़बूल करली जायेगी और वसी इतने माल का ज़ामिन होगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.122:– मय्यित के वसी ने इक़रार किया कि मय्यित का फ़ुलाँ शख़्स पर जितना वाजिब था वह तमाम मैंने पूरा वसूल पाया और वह सौ रुपये थे, जिस पर दैन था उसने कहा मुझपर उसका एक हज़ार रुपये दैन था और वह तूने ले लिया तो क़र्ज़दार अपने तमाम दैन से बरी है अब वसी उससे कुछ भी नहीं ले सकता और वसी वुरसा के लिये इतने ही का ज़िम्मेदार होगा जितने के वसूल करने का उसने इक़रार किया है। (आलमगीरी जि.6 स.157)

मसअ्ला.123:– क़र्ज़दार ने अव्वलन एक हज़ार रुपये क़र्ज़ होने का इक़रार किया फिर वसी ने इकरार किया कि जो कुछ उस पर क़र्ज़ था वह मैंने पूरा वसूल पा लिया और वह एक सौ रुपये थे इस सूरत में क़र्ज़दार बरी होगया और वसी वुरसा के बाक़ी नौ सो रुपये का ज़ामिन होगा(आलमगीरी)

मसअ्ला.124:– वसी ने इक़रार किया कि उसने फ़ुलाँ शख़्स से सौ रुपये पूरे वसूल कर लिये और यह कुल क़ीमत है, मुश्तरी यानी ख़रीदार ने कहा कि नहीं बल्कि क़ीमत डेढ़ सौ रुपये है तो वसी को हक़ है कि वह बक़िया पचास रुपये इस से और तलब करे। (आलमगीरी जि.6 स.157)

मसअ्ला.125:– वसी ने इक़रार किया कि उसने मय्यित के घर में जो कुछ माल व मताअ् (सामान) और मीरास थी उसपर क़ब्ज़ा कर लिया फिर कहा कि वह कुल सौ रुपये और पाँच कपड़े थे और वारिसों ने दअ्वा किया कि उससे ज़्यादा था और सुबूत देदिया कि जिस दिन मय्यित का इन्तिक़ाल हुआ उसकी मीरास उस दिन उस घर में एक हज़ार रुपये और सौ कपड़े थी तो वसी को इतना ही देना लाज़िम है जितने का उसने इक़रार किया है। (मुहीत अज़ आलमगीरी जि.6 स.158)

मसअ्ला.126:– वसी ने मय्यित पर दैन का इक़रार किया तो इस का इक़रार सहीह नहीं (आलमगीरी)

वसियत पर शहादत का बयान

मसअ्ला.1:– दो वसियों ने गवाही दी कि मय्यित ने उनके साथ फ़ुलाँ को वसी बनाया है और ख़ुद भी वसी होने का दअ्वेदार है तो यह शहादत क़बूल करली जायेगी और अगर वह फ़ुलाँ दअ्वेदार नहीं है तो उन की शहादत क़बूल नहीं की जायेगी। (मुहीतुस्सरख़सी आलमगीरी जि.6 स.158)

मसअ्ला.2:– मय्यित के दो बेटों ने गवाही दी कि उनके बाप ने फ़ुलाँ को वसी बनाया और वह फ़ुलाँ भी उसका मुद्दई है तो यह शहादत इस्तिहसानन क़बूल करली जायेगी लेकिन अगर वह फ़ुलाँ मुद्दई नहीं है बल्कि इन्कारी है और बाक़ी वुरसा इस के वसी होने का दअ्वा नहीं कर रहे हैं तो उन (बेटों) की शहादत मक़्बूल नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.158)

मसअ्ला.3:– दो आदमियों ने जिनका मय्यित पर क़र्ज़ा है गवाही दी कि मय्यित ने फ़ुलाँ को वसी बनाया है और उसने वसी होना क़बूल कर लिया है और फ़ुलाँ भी इसका मुद्दई है तो यह शहादत

इस्तिहसानन मक़बूल है लेकिन अगर वह मुद्दई नहीं है तो यह शहादत क़बूल न होगी(आलमगीरी)
मसअ्ला.4:– ऐसे दो आदमियों ने जिनका मय्यित पर क़र्ज़ा है गवाही दी की मय्यित ने फ़ुलाँ को वसी बनाया है और फ़ुलाँ भी मुद्दई है तो इस्तिहसानन उनकी गवाही मक़बूल है और अगर वह फ़ुलाँ मुद्दई नहीं तो मक़बूल नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.159)
मसअ्ला.5:– वसी के दो बेटों ने गवाही दी कि फ़ुलाँ ने हमारे बाप को वसी बनाया है और वसी भी दअ्वेदार है लेकिन वुरसा उस के मुद्दई नहीं हैं तो यह शहादत ना'मक़बूल है क़ाज़ी के लिये जाइज़ नहीं कि वह उसको वसी मक़र्रर करे। (आलमगीरी जि.6 स.159)
मसअ्ला.6:– दो वसियों में से एक वसी के दो बेटों ने गवाही दी कि मय्यित ने हमारे बाप को वसी बनाया और साथ ही फ़ुलाँ को भी वसी बनाया तो अगर बाप इसका मुद्दई है तो उनकी शहादत न बाप के हक़ में क़ाबिले क़बूल है न अजनबी के हक़ में क़ाबिले क़बूल हाँ अगर बाप वसी होने का मुद्दई नहीं बल्कि दअ्वा वुरसा की तरफ़ से है इस सूरत में उनकी शहादत क़बूल करली जायेगी।
मसअ्ला.7:– दो गवाहों ने गवाही दी कि मय्यित ने इस शख़्स को वसी बनाया और इस से रुजूअ् करके उस दूसरे को वसी बनाया तो यह शहादत क़बूल करली जायेगी। (आलमगीरी जि.6 स.159)
मसअ्ला.8:– दो गवाहों ने गवाही दी कि मय्यित ने उस शख़्स को वसी बनाया फिर वसी के दो बेटों ने गवाही दी कि मूसी ने उनके बाप को मअ्ज़ूल कर दिया और फ़ुलाँ को वसी बना दिया तो उन दोनों बेटों की गवाही मक़बूल है। (आलमगीरी जि.6 स.159)
मसअ्ला.9:– दो गवाहों में एक गवाह ने गवाही दी कि मय्यित ने जुमेरात के दिन वसियत की और दूसरे गवाह ने गवाही दी कि उसने जुमा के दिन वसियत की तो यह शहादत मक़बूल है (आलमगीरी)
मसअ्ला.10:– दो वसियों ने ना'बालिग़ वारिस् के हक़ में शहादत दी कि मय्यित ने उनके लिये अपने कुछ माल की वसियत की है या किसी दूसरे के कुछ माल की वसियत की है तो उनकी शहादत क़बूल नहीं की जायेगी यह शहादत बातिल है अगर उन्होंने यह शहादत बालिग़ वारिस् के हक़ में दी तो इमामे आज़म अ़लैहिर्रहमा के नज़्दीक मय्यित के माल में ना'मक़बूल है और ग़ैर के माल में मक़बूल करली जायेगी और साहिबैन के नज़्दीक दोनों क़िस्म के माल में शहादत जाइज़ है(हिदाया)
मसअ्ला.11:– मूसा'लहू मअ्लूम है लेकिन मूसा'बिही मअ्लूम नहीं गवाहों ने मूसा'लहू के लिये इस की वसियत की गवाही दी तो यह गवाही मक़बूल है और मूसा'बिही की तफ़सील वुरसा से मअ्लूम की जायेगी। (मुहीत अज़ आलमगीरी जि.6 स.159)
मसअ्ला.12:– दो शख़्सों ने दूसरे दो आदमियों के हक़ में गवाही दी कि उनका मय्यित पर एक हज़ार रुपये दैन है और उन दोनों ने पहले दो शख़्स के हक़ में गवाही दी कि उनका मय्यित पर एक हज़ार रुपये दैन है तो उन दोनों फ़रीक़ों की शहादत एक दूसरे के हक़ में क़बूल करली जायेगी लेकिन अगर उन दोनों फ़रीक़ों ने एक दूसरे के लिये एक एक हज़ार की वसियत की गवाही दी तो इस सूरत में उनकी गवाही क़बूल नहीं की जायेगी। (आलमगीरी जि.6 किताबुल'वसाया स.159)

ज़िम्मी की वसियत का बयान

मसअ्ला.1:– यहूदी या नसरानी सौमआ(यहूदियों की इबादतगाह)या कनीसा(नसरानियों की इबादतगाह)ब'हालते सेहत बनाया फिर उसका इन्तिक़ाल होगया तो वह मीरास् है वुरसा में तक़सीम होगा(आलमगीरी जि.6 स.132)
मसअ्ला.2:– यहूदी या ईसाई ने ब'वक़्ते मौत अपने घर को गिर्जा बनाने की मुतअ़य्यन व मअ्दूद लोगों के लिये वसियत करदी तो इसकी यह वसियत उसके सुलुस् हिस्से में जारी होगी(आलमगीरी)
मसअ्ला.3:– अगर उसने अपने घर को ग़ैर महसूर व ग़ैर मअ्दूद लोगों के लिये कनीसा बनाने की वसियत की तो यह वसियत जाइज़ है। (जामेउस्सग़ीर अज़ हिदाया जि.4 स.132)
मसअ्ला.4:– ज़िम्मी की वसियत की चार क़िस्में हैं एक यह कि ऐसी शय की वसियत करे जो उसके एअ्तिक़ाद में क़ुर्बत व इबादत हो और मुसलमानों के नज़्दीक क़ुर्बत व इबादत न हो जैसे कि (1)ज़िम्मी वसियत करे कि उसके ख़िन्ज़ीर काटे जायें और मुश्रिकों को खिलाये जायें तो अगर वसियत मुतअ़य्यन व मअ्दूद लोगों के लिये है तो जाइज़ है वरना नहीं (2)दूसरे यह कि ज़िम्मी ऐसी चीज़ की वसियत करे जो मुसलमानों के नज़्दीक क़ुर्बत व इबादत हो और ख़ुद ज़िम्मियों के नज़्दीक

इबादत न हो जैसे वह हज करने की वसियत करे या मस्जिद तअमीर कराने की वसियत करे या मस्जिद में चिराग़ रौशन करने की वसियत करे तो इसकी यह वसियत बिल'इज्माअ़ बातिल लेकिन अगर मख़्सूस व मुतअय्यन लोगों के लिये हो तो जाइज़ है **(3)**तीसरे यह कि ज़िम्मी ऐसी चीज़ की वसियत करे जो मुसलमान के नज़्दीक भी इबादत व क़ुर्बत हो और उनके नज़्दीक भी जैसे बैतुल मक़दस में चिराग़ रौशन करने की वसियत करे तो यह वसियत जाइज़ है **(4)**चौथे यह कि वह ऐसी चीज़ की वसियत करे जो न मुसलमान के नज़्दीक क़ुर्बत व इबादत हो और न ज़िम्मियों के नज़्दीक जैसे गाने बजाने वाली औरतों या नोहा अगर्चे औरतों के लिये वसियत करे तो यह वसियत जाइज़ नहीं। (हिदाया जि.4 व आलमगीरी जि.6 किताबुल'वसाया स.131)

मसअ्ला.5:– फ़ासिक़, फ़ाजिर, बिदअ़ती जिसका फ़िस्क़ व फ़ुजूर हद्दे कुफ़्र तक न पहुँचा हो वसियत के मुआमले में ब'मन्ज़िला मुसलमान के है और अगर उसका फ़िस्क़ व फ़ुजूर कुफ़्र की हद तक है तो वह ब'मन्ज़िला मुर्तद के है जो हुक्म मुर्तद की वसियत का है वही इसकी वसियत का है कि इसकी वसियत मौक़ूफ़ रहेगी अगर उसने अपने कुफ़्र व इर्तिदाद से तौबा करली तो वसियत नाफ़िज़ होगी वरना नहीं। (हिदाया जि.4 व आलमगीरी जि.131)

मसअ्ला.6:– हर्बी काफ़िर अमान लेकर दारुल'इस्लाम में दाख़िल हुआ और उसने अपने कुल माल की वसियत किसी मुसलमान या ज़िम्मी के लिये की तो इसकी वसियत कुल माल में जाइज़ है(आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– हर्बी काफ़िर अमान लेकर दारुल'इस्लाम में दाख़िल हुआ और उसने अपने माल के एक हिस्से की वसियत की, वसियत किसी मुसलमान या ज़िम्मी के लिये की तो यह वसियत जाइज़ है इसका बक़िया माल इसके वुरसा को वापस दिया जायेगा।(हिदाया, आलमगीरी जि.6 स.132)

मसअ्ला.8:– हर्बी मुस्तामिन के लिये किसी मुसलमान या ज़िम्मी ने वसियत की तो यह जाइज़ है (हिदाया) मुस्तामिन उस शख़्स को कहते हैं जो अमान लेकर दारुल'इस्लाम में दाख़िल हुआ।

मसअ्ला.9:– ज़िम्मी ने अपने सुलुस् माल से ज़्यादा में वसियत की या अपने बाज़ वारिसों के लिये वसियत की तो जाइज़ नहीं। (हिदाया) और अगर अपने ग़ैर मज़हब वाले के लिये वसियत की तो जाइज़ है। (आलमगीरी जि.6 स.132)

मसअ्ला.10:– मुसलमान या ज़िम्मी ने दारुल'इस्लाम में ऐसे काफ़िर हर्बी के लिये वसियत की जो दारुल'इस्लाम में नहीं है तो यह वसियत जाइज़ है। (हिदाया जि.4 व मुस्तसफ़ा अज़ आलमगीरी जि.6 स.132)

मसअ्ला.11:– अगर मुसलमान मुर्तद होगया(मआज़ल्लाह)फिर वसियत की, इमामे आज़म अ़लैहिर्रहमा के नज़्दीक यह मौक़ूफ़ रहेगी अगर इस्लाम ले आया और वसियत इस्लाम में सहीह है तो जाइज़ है और जो इस्लाम के नज़्दीक सहीह नहीं वह बातिल होजायेगी। (आलमगीरी जि.6 स.132)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ कि बहारे शरीअ़त के उन्नीसवें हिस्से की तालीफ़ मुअर्रख़ा 29 1400हिजरी मुताबिक़ 10सितम्बर 1980 ई. यौम चहार शम्बा इख़्तिताम को पहुँची मौला तआ़ला क़बूल फ़रमाये और इस में अपनी कम इल्मी की वजह से अगर कुछ ख़ामियाँ हों तो मुझे मुआफ़ फ़रमाये और इस किताब को मेरे लिए ज़ख़ीरा–ए–आख़िरत बनाये। आमीन!

अलफ़क़ीर इलल्लाह
ज़हीर अहमद बिन सय्यिद दाइम अ़ली ज़ैदी ग़ुफ़ि'र लहू।
वाइस प्रिंसिपल मुस्लिम युनिवर्सिटी, सिटी हाई स्कूल अ़लीगढ़

हिन्दी तर्जमा

मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी
नियर दो मीनार मस्जिद, मोहल्ला एजाज़ नगर
पुराना शहर बरेली यू0पी
मो0:–09219132423

बहारे शरीअ़त

11 से 20

मुसन्निफ

सदरुश्शरीअ़ह मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा

मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर

क़ादरी दारुल इशाअ़त

पुराना शहर बरेली

बहारे शरीअ़त

बीसवां हिस़्स़ा

मुस़न्निफ़
सदरुश्शरीअ़ा मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा
मौलाना मुह़म्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर
क़ादरी दारुल इशाअ़त
मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली–53
Mob:–9219132423

पेशे लफ़्ज़

यह किताबुल मीरीस् का वह हिस्सा है जिस के लिये फ़क़ीहुल'अस्र अल्लामा हज़रत सदरुश्शरीआ मुफ़्ती अमजद अली साहब रज़वी आज़मी हन्फ़ी क़ादरी कुद्दिस सिर्रुहुल अज़ीज़ ने **बहारे शरीअत के** सत्रहवें हिस्से में वसियत फ़रमाई है कि "बहारे शरीअत को आख़िरी हिस्सा थोड़ासा बाक़ी रहगया है जो ज़्यादा से ज़्यादा तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होगा अगर तौफ़ीके इलाही सआदत करती और यह बक़िया मज़ामीन भी तहरीर में आजाते तो फ़िक़ह के तमाम अबवाब पर मुश्तमिल यह किताब होती और किताब मुकम्मल होजाती और अगर मेरी औलाद या तलामिज़ा या उलमाए अहले सुन्नत में से कोई साहिब इसका क़लील हिस्सा जो बाक़ी रहगया है उसकी तकमील फ़रमादें तो मेरी ऐन ख़ुशी होगी"।

अलहम्दु लिल्लाह कि हज़रत मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा की वसियत के मुताबिक़ मैंने यह सआदत हासिल करने की कोशिश की है और इस में यह एहतिमाम किया है कि मसाइल के मआख़ज़ कुतुब के सफ़हात नम्बर भी लिख दिये हैं ताके अहले इल्म को मआख़ज़ तलाश करने में आसानी हो। अकस्र कुतुबे फ़िक़ह के हवालाजात नक़्ल करदिये हैं जिन पर आज कल फ़तवा का मदार है। हज़रत मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा के तर्ज़े तहरीर को हत्तल'इमकान बरक़रार रखने की कोशिश की गई है फ़िक़ही मुशिगाफ़ियों और फ़ुक़हा के क़ील व क़ाल को छोड़कर सिर्फ़ मुफ़ताबिह अक़वाल को सादा और आम फ़हम ज़बान में लिखा है ताकि कम तालीम याफ़्ता सुन्नी भाईयों को भी उस को पढ़ने और समझने में दुश्वारी पेश न आये तसहीहे किताबत में हत्तल'मक़दूर दीदा रेज़ी से काम लिया है फिर भी अगर कहीं अग़लात रहगईं हों तो उसके लिये क़ारेईने किराम से माज़िरत ख़्वाह हूँ। आख़िर में मुहिब्बे मुकर्रम हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी मद्दज़िल्लहुल'आली शैख़ुल'हदीस् दारुलउलूम अमजदिया व मिम्बर क़ौमी असम्बली व अज़ीज़े मुकर्रम मौलाना हाफ़िज़, क़ारी रज़ाउल'मुस्तफ़ा आज़मी सल्लमहू ख़तीब न्यू मेमन मस्जिद बोल्टन मार्केट,कराची का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन हज़रात ने अपने वालिद माजिद हज़रत मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा की वसियत की तकमील के लिये मेरा इन्तिख़ाब फ़रमाया मैं अपनी इस हक़ीर ख़िदमत को हज़रत सदरुश्शरीआ बदरुत्तरीक़ा उस्ताज़ुनल'अल्लाम अबुल'उला मुहम्मद अमजद अली साहब रज़वी कुद्दिस सिर्रुहुल'अज़ीज़ मुसन्निफ़ **"बहारे शरीअत"** की बारगाह में नज़रानए अक़ीदत पेश करता हूँ और बारगाहे रब्बुल'इज़्ज़त में दस्त ब'दुआ हूँ कि इस किताब को मक़बूल फ़रमाये। आमीन!

मुहम्मद वक़ारुद्दीन क़ादरी रज़वी बरेलवी
मुफ़्ती व नाइब शैख़ुल'हदीस् दारुलउलूम अमजदिया
आलमगीर रोड कराची–5
जनवरी 1985

अनुवादक
मुहम्मद अमीनुलक़ादरी बरेलवी
मो0:– 09219132423

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ ط

آیات قرآنی ــــ بسلسه ــــ وراثت

﴿ یُوْصِیْكُمُ اللّٰهُ فِیْۤ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَیَیْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَ اِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ؕ وَ لِاَبَوَیْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ یَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّ وَرِثَهٗۤ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗۤ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُّوْصِیْ بِهَاۤ اَوْ دَیْنٍ ؕ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَیُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ؕ فَرِیْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِیْمًا حَكِیْمًا ﴿۱۱﴾ وَ لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ یَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُّوْصِیْنَ بِهَاۤ اَوْ دَیْنٍ ؕ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ یَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَاۤ اَوْ دَیْنٍ ؕ وَ اِنْ كَانَ رَجُلٌ یُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّ لَهٗۤ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْۤا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِی الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُّوْصٰی بِهَاۤ اَوْ دَیْنٍ ۙ غَیْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِیَّةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِیْمٌ حَلِیْمٌ ﴿۱۲﴾ ط (1)

یَسْتَفْتُوْنَكَ ؕ قُلِ اللّٰهُ یُفْتِیْكُمْ فِی الْكَلٰلَةِ ؕ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَیْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّ لَهٗۤ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَ هُوَ یَرِثُهَاۤ اِنْ لَّمْ یَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ؕ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ؕ وَ اِنْ كَانُوْۤا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّ نِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَیَیْنِ ؕ یُبَیِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ؕ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ﴿۱۷۶﴾ ع ﴾ (2)

तर्जमा:– "अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के बारे में बेटे का ह़िस़्सा दो बेटियों के बराबर है। और फिर अगर निरी लड़कियाँ अगर्चे दो से ऊपर तो उनको तर्के की दो तिहाई और अगर एक लड़की हो तो उसका आधा और मय्यित के माँ बाप में हर एक को उस के तर्के से छटा अगर मय्यित के औलाद हो फिर अगर उस की औलाद न हों और माँ बाप छोड़े तो माँ का तिहाई फिर अगर उस के कई बहन भाई हों तो माँ का छटा बाद उस वस़ियत के जो कर गया और दैन के, तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे तुम क्या जानो कि इन में कौन तुम्हारे ज्यादा काम आये। यह ह़िस़्सा बान्धा हुआ है अल्लाह की त़रफ़ से बेशक अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला है"।

तर्जमा:– और तुम्हारी बीवियाँ जो छोड़ जायें उस में से तुम्हें आधा है अगर उनकी औलाद न हो फिर अगर उनकी औलाद हो तो उन के तर्के में से तुम्हें चौथाई है। जो वस़ियत वह कर गई और दैन निकाल कर और तुम्हारे तर्के में औरतों का चौथाई है। अगर तुम्हारे औलाद न हो तो उनका तुम्हारे तर्के में से आठवाँ जो वस़ियत

तुम कर जाओ। और दैन निकाल कर और अगर ऐसे मर्द और औरत का तर्का बटता हो जिस ने माँ बाप और औलाद कुछ न छोड़े और माँ की तरफ़ से उस का भाई या बहन है तो उन में से हर एक को छटा। फिर अगर वह बहन भाई एक से ज़्यादा हों तो सब तिहाई में शरीक हैं मय्यित की वसियत और दैन निकाल कर जिस में उस ने नुक़सान न पहुँचाया यह अल्लाह का इरशाद है और अल्लाह इल्म वाला हिल्म वाला है"।

तर्जमा:– "ऐ महबूब तुम से फ़तवा पूछते हैं तुम फ़रमादो कि अल्लाह तुम्हें कलाला में फ़तवा देता है अगर किसी मर्द का इन्तिक़ाल हो जो बे औलाद है और उस की एक बहन है तो तर्के में उसकी बहन का आधा है और मर्द अपनी बहन का वारिस् होगा अगर बहन की औलाद न हो। फिर अगर दो बहनें हों तर्के में उनका दो तिहाई और अगर भाई बहन हो मर्द भी और औरतें भी तो मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर। अल्लाह तुम्हारे लिये साफ़ बयान फ़रमाता है कि कहीं बहक न जाओ और अल्लाह हर चीज़ जानता है"।

ह़दीस् (1) बुख़ारी व मुस्लिम इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी हैं कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया फ़र्ज़ हिस़्सों को फ़र्ज़ हिस़्से वालों को देदो और जो बच जाये वह मय्यित के क़रीब'तरीन मर्द को देदो।

ह़दीस् (2) बुख़ारी व मुस्लिम ह़ज़रत उसामा बिन ज़ैद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा रावी रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया "मुसलमान काफ़िर का वारिस् न होगा और काफ़िर मुसलमान का वारिस् नहीं होगा"।

ह़दीस् (3) तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ह़ज़रत अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी हैं कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "क़ातिल वारिस् नहीं होता है"।

ह़दीस् (4) अबूदाऊद ह़ज़रत अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दादी के लिये छटा हिस़्सा मुक़र्रर फ़रमाया जब माँ न हो।

ह़दीस् (5) तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ह़ज़रत अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़ैस़ला फ़रमाया कि "वसियत से पहले क़र्ज़ अदा किया जायेगा और ह़क़ीक़ी भाई बहन वारिस् होंगे न अ़ल्लती भाई बहन"।

ह़दीस् (6) अह़मद तिर्मिज़ी अबूदाऊद व इब्ने माजा ह़ज़रत जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत करते हैं कि ह़ज़रत स़ाद इब्ने रबीअ़ की बीवी स़ाद से अपनी दो बेटियों को रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में लाई और अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह यह दोनों स़ाद की बेटियाँ हैं उनका बाप आप के साथ उहुद में शहीद होगये और उन के चचा ने कुल माल लेलिया है उनके लिये कुछ नहीं छोड़ा और जब तक उनके पास माल न हो उन की शादी नहीं की जासकती तो हुज़ूर स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इस बारे में अल्लाह तआ़ला फ़ैस़ला फ़रमादेगा तो आयते मीरास् नाज़िल होगई और रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन लड़कियों के चचा के पास यह हुक्म भेजा कि स़ाद की दोनों बेटियों को दो सुलुस् (दो तिहाई) देदो और लड़कियों की माँ को आठवाँ हिस़्सा देदो और जो बाक़ी बचे वह तुम्हारा है।

ह़दीस् (7) हज़ील बिन शुरहबील से रावी कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊ़द रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से सुवाल किया गया कि मय्यित की एक बेटी और एक पोती और एक बहन को तर्का किस त़रह तक़सीम किया जायेगा तो उन्होंने फ़रमाया कि वही फ़ैस़ला करूँगा जो नबी स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़ैस़ला किया था बेटी का निस़्फ़ है पोती का छटा हिस़्सा (تكملة الثلثين) और जो बाक़ी बचा वह बहन का है।

ह़दीस् (8) इमाम मालिक व अह़मद व तिर्मिज़ी अबूदाऊद व दारमी व इब्ने माजा ह़ज़रत क़बीसा बिन ज़ुवैब रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी हैं कि ह़ज़रत मुग़ीरा बिन शोअ़बा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने फ़रमाया कि मैं रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में ह़ाज़िर था कि हुज़ूर ने दादी को छटा हिस़्सा दिया था।

ह़दीस् (9) इब्ने माजा व दारमी ह़ज़रत जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब बच्चा ज़िन्दा पैदा हो तो उस

पर नमाज़ भी पढ़ी जायेगी और उस को वारिस् भी बनाया जायेगा।

हदीस (10) इमाम मालिक व अहमद व तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व दारमी व इब्ने माजा हज़रत क़बीसा बिन ज़ुवैब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हैं कि एक दादी ने हज़रत अबूबक्र रदियल्लाहु तआला अन्हु से अपनी मीरास् के बारे में सुवाल किया था तो आप ने सहाबा किराम से मालूमात की तो हज़रत मुग़ीरा इब्ने शोअ्बा रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी मौजूदगी में दादी को छटा हिस्सा दिया था। तो हज़रत अबूबक्र रदियल्लाहु तआला अन्हु ने यही फ़ैसला किया और हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास भी एक दूसरी दादी ने अपनी मीरास् का सुवाल किया था तो आप ने फ़रमाया वही छटा हिस्सा दादियों का है अगर दो होंगी तो दोनों उस में शरीक होजायेंगी और एक होगी तो उसे मिल जायेगा।

हदीस (11) दारमी हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हैं कि उन्होंने फ़रमाया फ़राइज़ को सीखो इस लिये कि वह तुम्हारे दीन में से है।

हदीस (12) दारमी ने हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया कि उन्होंने फ़माया जब किसी औरत के मरने के वक़्त उस का शौहर और माँ बाप हों तो शौहर को निस्फ़ मिलेगा और माँ को बाक़ी का तिहाई।

हदीस (13) दारमी ने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया कि शौहर के मरने के वक़्त जब उस की बीवी और माँ बाप हों तो बीवी को चौथाई और माँ को बाक़ी का तिहाई मिलेगा।

हदीस (14) दारमी असवद बिन यज़ीद से रावी हैं कि हज़रत मुआज़ इब्ने जबल रदियल्लाहु तआला अन्हु ने एक बेटी और एक बहन वारिस् होने की सूरत में यह फ़ैसला किया कि बेटी को निस्फ़ और बहन को निस्फ़ मिलेगा।

हदीस (15) दारमी में हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है खुन्सा के बारे में कि जब उस में मर्द और औरत दोनों के अअ्ज़ा हों तो जिस उ़ज़ू से पेशाब करेगा उस के एअ्तिबार से तर्का दिया जायेगा।

हदीस (16) दारमी में रिवायत है कि हज़रत ज़ैद इब्ने साबित रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया कि जब चन्द लोग दीवार गिरने या डूब जाने की वजह से एक साथ मर जायें तो वह आपस में एक दूसरे के वारिस् न होंगे ज़िन्दा लोग उन के वारिस् होंगे।

हदीस (17) दारमी में हज़रत अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "मामूँ उस मय्यित का वारिस् है जिस का और कोई वारिस् न हो"।

उन हुकूक़ का बयान जिनका तअ़ल्लुक़ मय्यित के तर्का से है

मसअला.1:– जब कोई मुसलमान इस दारे फ़ानी से कूच कर जाये तो शरअ़न उसके तर्के से कुछ अहकाम मुतअ़ल्लिक़ होते हैं यह अहकाम चार हैं (1)उसके छोड़े हुए माल से उसकी तज्हीज़ व तकफ़ीन मुनासिब अन्दाज़ में की जाये। (मुहीत ब'हवाला आलमगीरी स.447) इसका तफ़सीली बयान इस किताब के हिस्सा चहारुम में मौजूद है।

(2)फिर जो माल बचा हो उससे मय्यित के क़र्ज़े चुकाये जायें क़र्ज़ की अदायगी वसियत पर मुक़द्दम है क्योंकि क़र्ज़ फ़र्ज़ है जब कि वसियत करना एक नफ़्ली काम है फिर हज़रत अ़ली रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम को देखा आप ने क़र्ज़ वसियत से पहले अदा कराया। (इब्ने'माजा दारे क़ुत्नी व बैहक़ी)

मसअला.2:– क़र्ज़ से मुराद वह क़र्ज़ है जो बन्दों का हो उसकी अदायगी वसियत पर मुक़द्दम है।

मसअला.3:– अगर मय्यित ने कुछ नमाज़ों के फ़िदया की वसियत की या रोज़ों के फ़िदया की या

कफ्फारा की या हज्जे बदल की तो तमाम चीजें अदायगी–ए–कर्ज़ के बाद एक तिहाई माल से अदा की जायेंगी और अगर बालिग़ वुरसा इजाज़त दें तो तिहाई से ज़्यादा माल से भी अदा की जा सकती हैं।

वसियतः– अदाइगी–ए–क़र्ज़ के बाद वसियत का नम्बर आता है क़र्ज़ के बाद जो माल बचा हो उस के तिहाई से वसियतें पूरी की जायेंगी हाँ अगर सब वुरसा बालिग़ हों और सब के सब तिहाई माल से ज़ाइद से वसियत पूरी करने की इजाज़त दे दें तो जाइज़ है। (खानिया ब'हवाला आलमगीरी स.447 जि.6)

मीरासः– वसियत के बाद जो माल बचा हो उसकी तक़सीम दर्जे'ज़ैल तर्तीब के साथ अमल में आयेगी (1)उन वारिसों में तकसीम होगा जो क़ुर्आन हदीस या बिल'इजमाअ उम्मत की रु से असहाबे फराइज़ (मुकर्ररा हिस्सो वाले) हैं। और अस्हाबे फराइज़ बिल्कुल न हों या उनके बाद भी कुछ माल बचा हो तो दर्जे ज़ैल वारिसों में अलत्तर्तीब तक़सीम होगा।

(2)अस्बाते नस्बिया (3)अस्बाते सबबिया (यानी आज़ाद कर्दा गुलाम का आका) **(4)**अस्बा–ए–सबबी का नस्बी अस्बा फिर सबबी अस्बा **(5)**ज़विलफुरूज़ुन्नसबिया को उनके हुकूक़ की मिक़दार में दोबारा दिया जायेगा ज़विल'अरहाम **(7)**मौलल'मवालात **(8)**फिर वह शख़्स जिसके नसब का मरने वाले ने किसी दूसरे पर इस तरह इकरार किया हो कि उसका नसब उसके इक़रार की वजह से साबित न होसका यानी जिसपर नसब का इक़रार किया हो उसने तस्दीक़ न की हो बशर्ते कि इक़रार कुनन्दा (इक़रार करने वाला) अपने इक़रार पर मरा हो मस्लन मरने वाले ने एक शख़्स के बारे में यह इक़रार किया कि यह मेरा भाई है अब उस इक़रार का मफ़हूम यह हुआ कि उस शख़्स का नसब मेरे बाप से साबित है और बाप उसको अपना बेटा तस्लीम नहीं करता है। **(9)**फिर जो बचा हो वह उस शख़्स को दिया जाये जिस के लिये मय्यित ने कुल माल की वसियत की थी। **(10)**और फिर भी बचे तो बैतुल'माल में जमअ होगा।(आलमगीरी जि.6 स.447) इस ज़माने में बैतुल'माल का निज़ाम नहीं है इस लिये सदक़ा करदिया जाये। वाज़ेह रहे कि यह दस क़िस्म के वारिस हैं उनकी तफ़सीलात आयेंगी।

मीरास से महरूम करने वाले अस्बाब

बाज़ अस्बाब ऐसे हैं जो वारिस को मीरास से शरअन महरूम कर देते हैं और वह चार हैं।

(1)गुलाम होना यानी अगर वारिस गुलाम है ख़्वाह कुल्लियतन गुलाम हो या मुदब्बर हो या उम्मे वलद हो या मुकातिब हो तो वह वारिस न होगा। (शरीफ़िया स.10 व आलमगीरी जि.6 स.452)

(2)मूरिस का क़ातिल होना इस से मुराद ऐसा क़त्ल है जिसकी वजह से क़ातिल पर क़िसास या कफ़्फ़ारा वाजिब होता हो उन उमूर की तफ़सीलात इस किताब के अठारहवें हिस्से में मज़कूर हैं।

(3)दीन का इख़्तिलाफ़ यानी मसुलमान काफ़िर और काफ़िर मुसलमान का वारिस न होगा आम सहाबा रदियल्लाहु तआला अन्हुम और अली व ज़ैद रदियल्लाहु तआला अन्हुमा का यही फ़ैसला है नीज़ यह हदीस भी है لَا يَتَوَارَثُ اَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتّٰى यानी दो मुख़्तलिफ़ मिल्लतों के अफ़राद एक दूसरे के वारिस न होंगे। (सुनने दारमी अबूदाऊद वगैरा)

मसअ्ला.1:– अगर कोई मुसलमान मुर्तद होगया मआज़ल्लाह तो मुर्तद होने की वजह से उसके अमवाल उसकी मिल्कियत से ख़ारिज होजाते हैं फिर अगर वह दोबारा इस्लाम ले आये और कुफ्र से तौबा करले तो मालिक होजायेगा और अगर कुफ्र ही पर मरगया तो ज़माना–ए–इस्लाम के जो अमवाल हैं उनसे ज़माना–ए–इस्लाम के क़र्ज़े अदा किये जायेंगे। और बाक़ी अमवाल मुसलमान वुरसा लेलेंगे और इर्तिदाद के ज़माने में जो कमाया है उससे इर्तिदाद के ज़माने के क़र्ज़े अदा किये जायेंगे और अगर कुछ बच जायेगा तो वह गुरबा पर सदक़ा कर दिया जायेगा। (आलमगीरी जि.6 स.455)

मसअ्ला.2:– गुमराह और बिदअती लोग जिनकी तकफ़ीर न की गई हो वह वारिस भी बनेंगे और मूरिस भी।

मसअ्ला.3:– क़ादयानी भी मुर्तद हैं उनका भी यही हुक्म है।

मसअ्ला.4:– मुर्तद औरत जब अपने इर्तिदाद पर मरजाये तो उसके ज़माना–ए–इस्लाम और इर्तिदाद के ज़माने के तमाम अमवाल उसके वारिसों पर तक़सीम कर दिये जायेंगे।(आलमगीरी स.455 जि.6)

मसअ्ला.5:– वह लोग जो अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की सरीह तौहीन के मुरतकिब हों या शैख़ैन रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा को गालियाँ दें वह भी वारिस् न होंगे।

(4)मुल्कों का इख़्तिलाफ़ यानी यह कि वारिस् और मूरिस् (मरने वाला शख़्स कि जिसकी मीरास् तक़सीम होगी) दो मुख़्तलिफ़ मुल्कों के बाशिन्दे हों तो अब यह एक दूसरे के वारिस् नहीं होंगे।

मसअ्ला.1:– मुल्कों के इख़्तिलाफ़ से शरअ़न मुराद यह है कि दोनों मुलकों की अपनी अलग अफ़वाज हों और वह एक दूसरे का ख़ून हलाल समझते हों। (शरीफ़िया स.20 आलमगीरी जि.6 स.404)

मसअ्ला.2:– मुल्कों का इख़्तिलाफ़ ग़ैर मुस्लिमों के हक़ में है यानी यह कि अगर एक ईसाई मुसलमानों के मुल्क में है और उसका रिश्तेदार दूसरे मुल्क में है जो दारुल'हर्ब है तो अब यह एक दूसरे के वारिस् होंगे। (आलमगीरी जि.6 स.404)

मसअ्ला.3:– अगर तिजारत की ग़र्ज़ से या किसी और ग़र्ज़ से दारुल'हर्ब में चला गया और वहीं मरगया या मुसलमान को हर्बियों ने क़ैदी बनाकर रख लिया और वह दारुल'हर्ब में मरगया तो इस के रिश्तेदार जो दारुल'इस्लाम में हैं उसके वारिस् होंगे। (शरीफ़िया स.21 आलमगीरी स.454 जि.6)

मसअ्ला.4:– पाकिस्तान के मुसलमान और वह मुसलमान जो हिन्दुस्तान, अमेरिका, यूरोप या कहीं और रहते हों एक दूसरे के वारिस् होंगे।

मसअ्ला.5:– अगर वारिस् और मूरिस् मुसलमानों के दो गिरोहों से तअ़ल्लुक़ रखते हों जो आपस में नबर्दआज़मा हैं और दोनों की अलग फ़ौजें हैं तब भी वह एक दूसरे के वारिस् होंगे। (शरीफ़िया स.21)

मसअ्ला.6:– मुस्तामिन अगर हमारे मुल्क में मरजाये और उसका माल हो तो हम पर लाज़िम है कि उसका माल उसके वारिसों को भेजें और अगर ज़िम्मी मरजाये और उसका कोई वारिस् न हो तो उसका माल बैतुल'माल में जायेगा। (आलमगीरी जि.6 स.454)

मसअ्ला.7:– कुफ़्फ़ार के मुख़्तलिफ़ गिरोह मस्लन नसरानी, यहूदी, मजूसी, बुत'परस्त सब एक दूसरे के वारिस् होंगे। (आलमगीरी स.454 जि.6)

अस्हाबे फ़राइज़ का बयान

यह हिस्से जिनका ज़िक्र हुआ शरई तौर पर बारह क़िस्म के अफ़राद के लिये मुक़र्रर हैं उनको अस्हाबे फ़राइज़ कहते हैं उनमें से चार मर्द और आठ औरतें हैं।

मर्द यह हैं (1)बाप (2)जद्दे सहीह यानी दादा, पर'दादा (ऊपर तक) (3)माँ जाया भाई (4)शौहर।

औरतें यह हैं (1)बीवी (2)बेटी (3)पोती (नीचे तक) (4)हक़ीक़ी बहन (5)बाप शरीक बहन (6)माँ शरीक बहन (7)माँ (8)और जद्दा–ए–सहीहा।

मसअ्ला.1:– जद्दे सहीह उस दादा को कहते हैं कि जिस की मय्यित की तरफ़ निस्बत में मुअन्नस (स्त्री) का वास्ता बीच में न आये जैसे बाप का बाप और दादा का बाप। (आलमगीरी स.448 जि.6)

मसअ्ला.2:– जद्दे फ़ासिद उसको कहते हैं जिसकी मय्यित की तरफ़ निस्बत में मुअन्नस् का वासिता आये जैसे माँ का बाप, जिसको हम नाना कहते हैं या माँ के बाप का बाप या दादी का बाप।

मसअ्ला.3:– जद्दाए सहीहा वह दादी है जिसकी निस्बत मय्यित की तरफ़ की जाये तो दरम्यान में जद्दे फ़ासिद का वासिता न आये लिहाज़ा बाप की और माँ की माँ दोनों जद्दाए सहीहा हैं।

मसअ्ला.4:– जद्दाए फ़ासिदा वह दादी या नानी है जिसकी मय्यित की तरफ़ निस्बत में जद्दे फ़ासिद आजाये। जैसे नाना की माँ दादी के बाप की माँ। (शरीफ़िया स.23)

मसअ्ला.5:– जद्दे सहीह और जद्दाए सहीहा अस्हाबे फ़राइज़ में से हैं जब कि जद्दे फ़ासिद और जद्दाए फ़ासिदा असहाबे फ़राइज़ में से नहीं हैं बल्कि ज़विल अरहाम में से हैं उनका मुफ़स्सल बयान ज़विल अरहाम की बहस में आयेगा।(शरीफ़िया स.23)

बाप के हिस्सों का बयान

मसअला.1:— बाप की तीन मुख़्तलिफ़ हालतें हैं और हर हालत में उसका अलग हिस्सा है जब बाप के साथ मय्यित का कोई बेटा या पोता (नीचे तक) हो तो बाप को कुल माल में से सिर्फ़ छठा हिस्सा मिलेगा यानी $\frac{1}{6}$ (आलमगीरी जि.6 स.448)

मसलन–1 मसअला 6

बाप	बेटा
1	5

या (2) मसअला 6

बाप	पोता
1	5

मसअला.2:— अगर बाप के साथ मय्यित की बेटी या पोती (नीचे तक) है तो बाप को छठा हिस्सा बतौर साहिबे फ़र्ज़ के मिलेगा और अगर तक़सीम के बाद बच जायेगा तो वह बाप को बतौर अस्बा के मिलेगा। (आलमगीरी जि.6 स.248)

मस्लन 1–मसअला 6

बाप	बेटी
1+2=3	3

या–2 **मसअला 6**

बाप	पोती
1+2=3	3

मसअला.3:— जब बाप के साथ मय्यित का बेटा या बेटी या पोता या पोती (नीचे तक) न हो तो बाप को सिर्फ़ बतौर असूबत अस्हाबे फ़राइज़ से बच जाने के बाद ही मिलेगा और इस सूरत में कोई मुअय्यन हिस्सा नहीं बल्कि जो कुछ बचा होगा वह सब बाप को मिलेगा। (सिराजी स.7)

मस्लन= **मसअला 3**

माँ	बाप
1	2

जद्दे सहीह के हिस्सों का बयान

मसअला:— जब बाप न हो तो दादा (जद्दे सहीह) सिवाए चन्द सूरतों के बाप ही की तरह है (सिराजी स.7)

मिसाल.1 **मसअला 6**

दादा	बेटा
1	5

मिसाल.2 **मसअला 6**

दादा	पोता
1	5

मिसाल.3 **मसअला 6**

दादा	बेटी
2+1=3	3

मिसाल.4 **मसअला 6**

दादा	पोती
2+1=3	3

मिसाल.5 **मसअला 3**

माँ	दादा
1	2

मसअला.2:— बाप की माँ, बाप के होते हुए मीरास से महरूम होगी मगर दादा के होते हुए महरूम न होगी। (शरीफ़िया स. 24)

मिसाल.1 **मसअला 1**

दादी	बाप
महरूम	1

मिसाल.2 **मसअला.6**

दादा	दादी
5	1

मसअला.3:— अगर शौहर या बीवी का इन्तिक़ाल होजाये और दोनों में से कोई एक ज़िन्दा हो और

उसके साथ मय्यित के माँ बाप भी हों तो इस सूरत में बाप तो माँ के हिस्से को घटा देगा कि शौहर या बीवी के हिस्से के बाद जो बचेगा वह उसका तिहाई पायेगा और अगर बाप की जगह दादा हो तो वह माँ का हिस्सा नहीं घटा सकता बल्कि माँ, दादा के होते हुए पूरे माल का तिहाई पायेगी उस को मिसाल से यूँ समझना चाहिए।

मिसाल.1

मसअला.6

बाप	माँ	शौहर
2	1	3

इस की तौज़ीह यह है कि शौहर को निस्फ़ मिला और माँ को शौहर का हिस्सा निकालने के बाद जो बचा था उस में से तिहाई मिला हालांकि माँ का हिस्सा कुल माल का तिहाई है और इस की वजह यह कि अगर हम माँ को कुल माल का तिहाई देते तो इस का हिस्सा बाप के बराबर हो जाता जो दुरुस्त नहीं इस लिये बाप ने माँ के हिस्से को घटा दिया जब कि दादा एक वासिता हो जाने की वजह से ऐसा नहीं कर सकता मिसाल मुलाहिज़ा हो। (मुसन्निफ़)

मिसाल.2

मसअला.12

माँ	बीवी	दादा
4	3	5

इस सूरत में माँ को पूरे माल का तिहाई मिलेगा यही इमाम अबूहनीफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु का क़ौल है।

मसअ्ला.4:– हक़ीक़ी भाई बहन हों या अ़ल्लाती (बाप शरीक) हों या अख़्याफ़ी (माँ शरीक) सब के सब बाप के होते हुए बिल'इत्तिफ़ाक़ महरूम हो जाते हैं जब कि दादा के होते हुए भी इमाम अबूहनीफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु के नज़्दीक महरूम होते हैं फ़तवा इसी पर है। (आलमगीरी जि.48 स.6 सिराजी)

मिसालें मुलाहज़ा हों

मिसाल.1

मसअ्ला.1

बाप	हक़ीक़ी बहन	हक़ीक़ी भाई
1	महरूम	महरूम

मिसाल.2

मसअ्ला.1

दादा	भाई	बहन
1	महरूम	महरूम

मसअ्ला.5:– बाप के होते हुए दादा महरूम रहेगा क्योंकि रिश्तेदारी में अस्ल बाप ही है।

मिसाल.

मसअ्ला

बाप	दादा
1	महरूम

माँ शरीक भाईयों और बहनों के हिस्सों का बयान

मसअ्ला.1:– अगर माँ शरीक भाई या बहन सिर्फ़ एक है तो उसे छठा हिस्सा मिलेगा $\frac{1}{6}$ (आलमगीरी जि.6 स.448)

मिसाल

मसअ्ला.6

शौहर	माँ शरीक भाई	चचा
3	1	2

मसअ्ला.2:– अगर माँ शरीक भाई या बहन दो या दो से ज़ाइद हों तो वह सब एक तिहाई $\frac{1}{3}$ में

शरीक हो जायेंगे और उन भाई बहनों को बराबर हिस्सा मिलेगा। (सिराजी 7)

मिसाल

मसअला.12			
बीवी	माँ शरीक भाई	माँ शरीक बहन	चचा
3	2	2	5

मसअला.3:— माँ शरीक भाई या बहन मय्यित के बेटा बेटी, पोता पोती (नीचे तक) बाप या दादा के होते हुए महरूम हो जायेंगे। (आलमगीरी जि.6 स.45)

मिसाल:1

मसअला.1	
बाप	माँ शरीक भाई
1	महरूम

मिसाल:2

मसअला.1	
दादा	माँ शरीक भाई
1	महरूम

नोट:— माँ शरीक बहनें भी आम हालतों में माँ शरीक भाईयों की तरह हैं।

शौहर के हिस्सों का बयान

मसअला.1:— शौहर को कुल माल का आधा $\frac{1}{2}$ उस सूरत में मिलेगा जब कि उसके साथ मय्यित का कोई बेटा बेटी या पोता पोती (नीचे तक) न हो। (आलमगीरी जि.6 स.450 दुर्रे मुख़्तार जि.676 स.5)

मिसाल.

मसअला	
शौहर	बाप
1	1

मसअला.2:— अगर शौहर के साथ मय्यित का कोई बेटा बेटी या पोता, पोती (नीचे तक) हो तो इस सूरत में शौहर को चौथाई हिस्सा मिलेगा $\frac{1}{4}$ (आलमगीरी जि.6 स.45 दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.676)

मिसाल.1

मसअला.4	
बेटा	शौहर
3	1

मिसाल.2

मसअला.4		
बेटी	चचा	शौहर
2	1	1

मिसाल.3

मसअला.4	
शौहर	पोता
1	3

बीवियों के हिस्सों का बयान

मसअला.1:— अगर मय्यित की बीवी के साथ मय्यित का बेटा बेटी या पोता पोती न हो तो इस को कुल माल का चौथाई $\frac{1}{4}$ मिलेगा (आलमगीरी जि.6 स.45)

मिसाल.

मसअला.4	
बीवी	भाई
1	3

मसअला.2:— अगर मय्यित की बीवी के साथ मय्यित का बेटा बेटी या पोता पोती हो तो उसको आठवाँ हिस्सा मिलेगा $\frac{1}{8}$ (आलमगीरी जि.6 स.450 स. दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.674)

मिसाल

मसअला.8

बेटा	बीवी
7	1

मसअला.8

पोता	बीवी
7	1

हक़ीक़ी बेटियों के हिस्सों का बयान

मसअला.1:— अगर सिर्फ़ एक बेटी हो तो उसको आधा $\frac{1}{2}$ मिलेगा। (आलमगीरी जि.6 स.448, दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.676)

मिसालः—

मसअला.6

बाप	बेटी
2+1=3	3

मसअला.2:— अगर बेटियाँ दो या दो से ज़ाइद हों तो उन सब को दो तिहाई $\frac{2}{3}$ मिलेगा और उन में बराबर बराबर तक़सीम होगा। (आलमगीरी जि.6 स.448, दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.676)

मिसाल.

मसअला.3

बेटी	बेटी	भाई
1	1	1

मसअला.3:— और अगर बेटी के साथ मय्यित का लड़का भी हो तो बेटी और बेटा दोनों अ़स्बा बन जायेंगे और माल बतौर असूबत दोनों में इस तरह तक़सीम होगा कि बेटों को ब'निस्बत बेटी के दोगुना दिया जायेगा। (आलमगीरी जि.6 स.448, दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.676)

मिसाल.1

मसअला.4

शौहर	बेटी	बेटा
1	1	2

मिसाल.2

मसअला.4,24

शौहर	बेटी	बेटी	बेटा	बेटा
1/6	3	3	6	6

पोतियों के हिस्सों का बयान

मसअला.1:— अगर मय्यित के बेटा बेटी नहीं सिर्फ़ एक पोती है तो इस को आधा $\frac{1}{2}$ मिलेगा। (आलमगीरी)

मिसाल.

मसअला.8

बीवी	चचा	पोती
1	3	4

मसअला.2:— अगर मय्यित का बेटा बेटी नहीं है दो पोतियाँ हैं या दो से ज़ाइद तो वह दो तिहाई में शरीक होंगी। (आलमगीरी जि.6 स.448, दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.676)

मिसाल

मसअला.12

शौहर	चचा	पोती	पोती	पोती	पोती
3	1	2	2	2	2

मसअला.3:— अगर मय्यित की एक बेटी है तो पोती एक हो या एक से ज़ाइद वह सब की सब छटे हिस्से $\frac{1}{6}$ में शरीक होंगी ताकि लड़कियों का हिस्सा दो तिहाई पूरा होजाये उस से ज़ाइद न हो क्योंकि कुआन करीम में लड़कियों का हिस्सा दो तिहाई से ज़ाइद किसी सूरत में नहीं है अब आधा तो हक़ीक़ी बेटी ने कुव्वते क़राबत की वजह से ले लिया तो सिर्फ़ छठा हिस्सा ही बाक़ी रहा जो

पोतियों को मिलजायेगा। (शरीफिया स.34, आलमगीरी जि.6 स.448, दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.676)

मिसालः–

मसअला.12

शौहर	बेटी	पोती	पोती	चचा
3	6	1	1	1

मसअला.4:– पोतियाँ मय्यित की दो ह़क़ीक़ी बेटियों के होते हुए मह़रूम हो जायेंगी बशर्तेकि मय्यित का कोई पोता, पर'पोता (नीचे तक) मौजूद न हो। (आलमगीरी जि.6 स.448, दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.676)

मिसालः–

मसअला.24

बीवी	बेटी	बेटी	पोती	चचा
3	8	8	म	5

मसअला.5:– अगर पोतियों के साथ मय्यित की दो ह़क़ीक़ी बेटियाँ भी हों और पोता या पर'पोता (नीचे तक) हो तो पोतियाँ, पोते या पर'पोते के साथ अ़स्बा हो जायेंगी। (आलमगीरी जि.6 स.448)

मिसाल.1

मसअला.3,9

बेटी	बेटी	पोती		पोता
1/3	1/3	1	(1/3)	2

मिसाल.2

मसअला.3,9

बेटी	बेटी	पोती		पर'पोता
1/3	1/3	1	(1/3)	2

मसअला.6:– पोतियों के साथ अगर मय्यित का बेटा हो तो पोतियाँ मह़रूम होजायेंगी(आलमगीरी जि.6 स.448)

मिसालः

मसअला

पोती	पोती	बेटा
म	म	1

ह़क़ीक़ी बहनों के हिस़्सों का बयान

मसअला.1:– अगर बहन एक है तो उसे आधा $\frac{1}{2}$ मिलेगा। (आलमगीरी जि.6 स.448, दुर्रे मुख़्तार जि.5 स.676)

मिसाल – मसअला .2

बहन	चचा
1	1

मसअला.2:– अगर बहनें दो या दो से ज़ाइद हैं तो वह दो तिहाई 2/3 में शरीक होंगी(आलमगीरी जि.6 स.448)

मिसाल – मसअला.3

बहन	बहन	चचा
1	1	1

मसअला.3:– अगर मय्यित की बहनों के साथ मय्यित का कोई भाई भी हो तो वह उसके साथ मिलकर अ़स्बा हो जायेंगी और तक़सीमे माल "लिज़्ज़क्रे मिस्लु ह़ज़्ज़िल उनसयैन" की बुनियाद पर होगी यानी मर्द को दो औरतों के बराबर हिस़्सा मिलेगा। (आलमगीरी जि.6 स.448, दुर्रेमुख़्तार जि.5 स. 676)

मिसाल – मसअला.4

बहन	बहन	भाई
1	1	2

मसअला.4:– अगर बहनों के साथ मय्यित की कोई बेटी, पोती या पर'पोती (नीचे तक) हो तो अब बहन अ़सबा बन जायेगी, यानी जो कुछ बाक़ी बचेगा वह लेगी, क्योंकि ह़दीस़ में फ़रमाया बहनों को बेटियों के साथ अ़स्बा बनाओ। (दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.676, बहरुर्राइक़, तबईन)

मिसाल – मसअला.6

बेटी	पोती	बहन
3	1	2

बाप शरीक बहनों के हिस्सों का बयान

मसअला.1:– अगर बाप शरीक बहन एक हो और हक़ीक़ी बहन कोई न हो तो उसे आधा मिलेगा (आलमगीरी जि.6 स.450 दुर्रे मुख़्तार जि.5 स.676)

मिसाल – मसअला.2

बाप शरीक बहन	चचा
1	1

मसअला.2:– अगर दो या दो से ज़ाइद बाप शरीक बहनें हों तो वह दो तिहाई $\frac{2}{3}$ में शरीक होंगी।

मिसाल – मसअला.3

बाप शरीक बहन	बाप शरीक बहन	चचा
1	1	1

मसअला.3:– अगर मय्यित की बाप शरीक बहन या बहनों के साथ एक हक़ीक़ी बहन हो तो बाप शरीक बहन या बहनों को सिर्फ़ छठा تكملة للثلثين मिलेगा। (आलमगीरी जि.6 स.450 दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.676)

मिसाल – मसअला.6

बहन	बाप शरीक बहन	चचा
3	1	2

मसअला.4:– अगर बाप शरीक बहन के साथ मय्यित की दो हक़ीक़ी बहनें हों तो उसको कुछ न मिलेगा इस लिये कि दो तिहाई जो ज़ाइद से ज़ाइद बहनों का हिस्सा था वह पूरा हो चुका (आलमगीरी जि.6)

मिसाल – मसअला.3

बहन	बहन	बाप शरीक बहन	चचा
1	1	महरूम	1

मसअला.5:– अगर बाप शरीक बहन के साथ मय्यित की दो हक़ीक़ी बहनें हों और बाप शरीक भाई भी हो तो हक़ीक़ी बहनों के हिस्से के बाद जो कुछ बचेगा वह उनके दरम्यान लिल्ज़क्रे मिस्लु हज़्ज़िलउनस्यैन की बुनयाद पर मुन्क़सिम होगा।(बज़ाज़िया अली आलमगीरी जि.6 स.404 आलमगीरी जि.6 स.450)

मिसाल – मसअला.3

बहन	बहन	बाप शरीक बहन		बाप शरीक भाई
$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	1	$(\frac{1}{3})$	2

मसअला.6:– अगर बाप शरीक बहनों के साथ मय्यित की बेटियाँ या पोतियाँ (नीचे तक) हों तो यह बहनें उनके साथ अ़सबा होजायेंगी।(आलमगीरी जि.6 स.450, दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.676)

मिसाल – मसअला.2

बेटी	बाप शरीक बहन
1	1

मसअला.7:– हक़ीक़ी भाई बहन हों या बाप शरीक सब के सब बेटे या पोते (नीचे तक) और बाप के होते हुए बिल इत्तिफ़ाक़ महरूम रहते हैं और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़्दीक दादा के होते हुए भी महरूम होजाते हैं और फ़तवा इसी पर है। (आलमगीरी जि.6 स.450, दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.676)

मिसाल – मसअला.1

बेटा	हक़ीक़ी भाई	हक़ीक़ी बहन	बाप शरीक भाई	बाप शरीक बहन
1	महरूम	महरूम	महरूम	महरूम

मिसाल.2 — मसअला.1

बाप	हक़ीक़ी भाई	हक़ीक़ी बहन	बाप शरीक भाई	बाप शरीक बहन
1	म	म	म	म

मसअला.8:—बाप शरीक भाई या बहन, हक़ीक़ी भाई के होते हुए महरूम होजाते हैं। (आलमगीरी जि.6 स.450)

मिसाल —मसअला.1

हक़ीक़ी भाई	बाप शरीक भाई	बाप शरीक बहन
1	महरूम	महरूम

माँ के हिस्सों का बयान

मसअला1:— अगर मय्यित की माँ के साथ मय्यित का कोई बेटा या बेटी या पोता, पोती हो तो माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। (आलमगीरी जि.6 स.449, दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.539)

मिसाल — मसअला.6/18

माँ	बेटा		बेटी
$\frac{1}{3}$	10	$\frac{5}{15}$	5

मसअला.2:— अगर मय्यित की माँ के साथ मय्यित के दो भाई बहन हों ख़्वाह वह हक़ीक़ी हों, बाप शरीक हों या माँ शरीक हों तो माँ को इस सूरत में भी छठा हिस्सा 1/6 मिलेगा। (आलमगीरी जि.6 स.449)

मिसाल — मसअला.6/18

माँ	भाई		बहन
$\frac{1}{3}$	10	$\frac{5}{15}$	5

मसअला.3:— अगर माँ के साथ मय्यित के मज़कूरा रिश्तेदार न हों तो माँ को कुल माल का तिहाई हिस्सा 1/3 मिलेगा। (आलमगीरी जि.6 स.449)

मिसाल — मसअला.3

माँ	चचा
1	2

मसअला.4:— अगर माँ के साथ शौहर और बीवी में से भी कोई एक हो तो पहले शौहर या बीवी का हिस्सा दिया जायेगा फिर जो बचेगा उसमें से एक तिहाई माँ को दिया जायेगा और यह सिर्फ दो सूरतों में है। (आलमगीरी जि.6 स.449, दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.675)

मिसाल.1 — मसअला.6

माँ	बाप	शौहर
1	2	3

मिसाल.2 — मसअला.4

माँ	बाप	बीवी
1	2	1

मसअला.4:— अगर मज़कूरा सूरतों में बजाय बाप के दादा हो तो माँ को कुल माल का तिहाई मिलेगा $\frac{1}{3}$ (आलमगीरी जि.6 स.450)

मिसाल — मसअला.12

माँ	बीवी	दादा
4	3	5

दादी के हिस्सों का बयान

मसअला.1:— जद्दाए सहीहा जिसका बयान हो चुका है उसको छठा हिस्सा मिलेगा दादियाँ और नानियाँ एक से ज़ाइद हों और सब दर्जे में बराबर हों तो वह भी हिस्से में शरीक होंगी। (आलमगीरी जि.6 स.45)

मिसाल.1—मसअ्ला.6

दादी	चचा
1	5

मिसाल—2—मसअ्ला.6

दादी	($\frac{1}{2}$)	नानी	चचा
1		1	$\frac{5}{10}$

मसअ्ला.2:— अगर दादी व नानी के साथ मय्यित की माँ भी हो तो दादी व नानी दोनों महरूम हो जायेंगी। (आलमगीरी जि.6 स.450 दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.676)

मिसाल.1—मसअ्ला.12

बीवी	माँ	नानी	नानी	चचा
3	4	म	म	5

मिसाल.2— मसअ्ला.12

बीवी	माँ	दादी	चचा
3	4	म	5

मसअ्ला.3:— वह दादियाँ जो बाप की तरफ़ से हों वह बाप के होते हुए भी महरूम हो जायेंगी।(आलमगीरी)

मिसाल— मसअ्ला.6

बेटा	बाप	दादी (बाप की माँ)
5	1	महरूम

मसअ्ला.4:— वह दादियाँ जो बाप की तरफ़ से हों और दादा से ऊपर हों वह दादा के होते हुए साकित होजायेंगी लेकिन बाप की माँ साकित न होगी क्योंकि उसकी रिश्तेदारी दादा के वास्ते से नहीं। (दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.676)

मिसाल.1 : मसअ्ला.4

बीवी	दादा	दादा की माँ (पर दादी)
1	3	महरूम

मिसाल .2 : मसअ्ला.12

बीवी	दादा	दादी (बाप की माँ)
3	7	2

मसअ्ला.5:— क़रीब वाली दादी व नानी दूर वाली दादी और नानी को महरूम करदेगी।

मिसाल: 1. मसअ्ला .4:—

बीवी	बाप की माँ	दादा	नानी की माँ
3	2	7	महरूम

अ़सबात का बयान

मसअ्ला.1:— अ़सबात से मुराद वह लोग हैं जिनके मुक़र्रर शुदा हिस्से नहीं अलबत्ता अस्हाबे फ़राइज़ से जो बचता है उन्हें मिलता है और अगर अस्हाबे फ़राइज़ न हों तो तमाम उन्हीं में तक़सीम हो जाता है। (आलमगीरी जि.6 स.451, दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.677)

अ़सबात की दो क़िस्में हैं अ़सबाते नसबी[1] और अ़सबाते सबबी[2]

मसअ्ला.2:— अ़सबाते नसबी से मुराद वह रिश्तेदार हैं जिन के मुक़र्ररा हिस्से नहीं हैं बल्कि अस्हाबे फ़राइज़ से अगर कुछ बचता है तो उन्हें मिलता है अ़सबा नसबी की तीन क़िस्में हैं (1)अ़सबा बिनफ़्सिही, (2)अ़सबा बिग़ैरिही (3)अ़सबा मअ् ग़ैरिही। (शरीफ़िया स.45)

मसअ्ला.3:— अ़सबा बिनफ़्सिही से मुराद वह मर्द है कि जब उसकी निस्बत मय्यित की तरफ़ की जाये तो दरम्यान में कोई औरत न आये अ़सबा बिनफ़्सिही की चार क़िस्में हैं।

पहली क़िस्म:— जुज़्वे मय्यित यानी बेटे पोते (नीचे तक)

दूसरी क़िस्म:— असले मय्यित यानी मय्यित का बाप, दादा (ऊपर तक)

तीसरी क़िस्म:— मय्यित के बाप का जुज़ यानी भाई फिर उनकी मुज़क्कर औलाद दर औलाद(नीचे तक)

चौथी किस्म:— मय्यित के दादा का जुज़ यानी चचा फिर उनकी मुज़क्कर औलाद दर औलाद(नीचे तक)

मसअ्ला.4:— उन चारों क़िस्मों में विरासत बित्तरतीब जारी होगी और तर्तीब वही है जो हमने तक़सीम में इख़्तियार की है यानी अगर पहली क़िस्म के लोग मौजूद हैं तो दूसरी क़िस्म के लोग असबा नहीं बनेंगे और दूसरी क़िस्म के होते हुए तीसरी क़िस्म के असबा नहीं बनेंगे और तीसरी क़िस्म के होते हुए चौथी क़िस्म के नहीं बनेंगे। (दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.677)

मिसाल—1. मसअ्ला.12

शौहर	बेटा	बाप
3	7	2

मज़कूरा सूरत में बाप को बतौर असूबत कुछ नहीं मिला है 1/6बतौर फ़रज़ियत दिया गया है,

मिसाल.1 मसअ्ला .4:—

शौहर	बेटा	चचा
1	3	महरूम

मसअ्ला.5:— असबात में तर्तीब व तरजीह का एक उसूल तो हमने ज़िक्र कर दिया कि रिश्तेदारी का कुर्ब देखा जायेगा इसके बाद दूसरा उसूल यह है कि कुव्वते क़राबत को देखा जायेगा यानी दोहरी रिश्तेदारी वाले को इकहरी रिश्तेदारी वाले पर तरजीह होगी इस में मर्द व औरत की भी तफ़रीक़ नहीं।

मिसाल.1 मसअ्ला.4

बीवी	हक़ीक़ी भाई	बाप शरीक भाई
1	3	महरूम

मिसाल.2 मसअ्ला .8:—

बीवी	बेटी	बाप शरीक भाई	हक़ीक़ी बहन
1	4	म	3

मसअ्ला.6:— असबा बिग़ैरिही चार औरतें हैं, यह वह औरतें हैं जिनका मुकर्ररा हिस्सा निस्फ़ या दो तिहाई है यह औरतें अपने भाईयों की मौजूदगी में असबा बन जायेंगी और बजाय फ़र्ज़ के सिर्फ़ बतौर असूबत जो मिलेगा वह लेंगी, वह औरतें यह हैं (1)बेटी (2)पोती (3)हक़ीक़ी बहन (4)बाप शरीक बहन। (दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.679)

मिसाल.1 मसअ्ला .4:—

शौहर	बेटा	बेटी
1	2	1

मिसाल.2 मसअ्ला .2, 6

शौहर	भाई		बहन
1/3	2	(1/3)	1

मसअ्ला.7:— वह औरतें जिनका फ़र्ज़ हिस्सा नहीं है मगर उनका भाई असबा है वह अपने भाई के साथ असबा नहीं होंगी। क्योंकि कुर्आन करीम में सिर्फ़ बेटियों और बहनों को ही अपने भाईयों के साथ असबा क़रार दिया गया है। (दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.679)

मिसाल.1 मसअ्ला.4

जौज़ा	चचा	फ़ूफ़ी
1	3	महरूम

इस सूरत में बाक़ी कुल माल चचा को मिलेगा और उसकी बहन जो मय्यित की फ़ूफ़ी है महरूम रहेगी।

मसअ्ला.8:– अ़सबा मअ़ ग़ैरिही से मुराद वह औरत है जो दूसरी औरत के साथ मिलकर अ़सबा बन जाती है जैसे हक़ीक़ी बहन या बाप शरीक बहन बेटी के होते हुए अ़सबा बन जाती है।

मिसाल: मसअ्ला.8

बीवी	हक़ीक़ी बहन	बेटी
1	3	4

मसअ्ला.8

ज़ौजा	बाप शरीक बहन	बेटी
1	3	4

मसअ्ला.9:– सबबी अ़सबा मौलल'इ़ताक़ा है अगर हमें किताब के ना'मुकम्मल रह जाने का ख़तरा न होता हम मौलल'इ़ताक़ा की बहस को हज़फ़ कर देते क्योंकि अब दर हक़ीक़त इसका कोई वजूद नहीं बहर हाल इस से मुराद वह शख़्स है जिसने कोई गुलाम आज़ाद किया हो और वह गुलाम मरगया हो और गुलाम का कोई रिश्तेदार न हो सिर्फ़ उसको आज़ाद करने वाला शख़्स हो अब उसका आक़ा उसको आज़ाद करने के सबब उसकी मीरास् का मुस्तहक़ होगा क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है

(الولاء لحمة كلحمة النسب)

"वला का तअ़ल्लुक़ नसबी तअ़ल्लुक़ ही की तरह है" (दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.680)

मसअ्ला.10:– अगर आज़ाद करने वाला भी ज़िन्दा न हो तो माल उसके अ़सबात को उसी तर्तीब के मुताबिक़ मिलेगा जो हम अ़सबात की तर्तीब में बयान कर आये हैं अल्बत्ता फ़र्क़ यह है कि आज़ाद करने वाले के अ़सबात में अगर औरतें हैं तो उनको कुछ न मिलेगा इस लिये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है (ليس للنساء من الولاء) "औरतों के लिये विला नहीं" यानी उन्हें इस सबब से मीरास् न मिलेगी कि उनके किसी रिश्तेदार ने किसी शख़्स को आज़ाद किया था और अगर किसी औरत ने ख़ुद गुलाम आज़ाद किया था तो वह उस की मीरास् ले लेगी। (शरीफ़िया 51 व दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.681)

हज्ब का बयान

मसअ्ला.1:– इल्मे फ़राइज़ की इस्तिलाह में हज्ब से मुराद यह है कि किसी वारिस् का हिस्सा किसी दूसरे वारिस् की मौजूदगी की वजह से या तो कम होजाये या बिल्कुल ही ख़त्म होजाये इस की दो क़िस्में हैं हज्बे नुक़सान और हजबे हिरमान। (शरीफ़िया 57)

मसअ्ला.2:– हज्बे नुक़सान यानी विरासत के हिस्से का कम होजाना पाँच क़िस्म के वारिसों के लिये है (1)शौहर के लिये:–

मिसाल.1 मसअ्ला.4

शौहर	बेटा
1	3

शौहर का हिस्सा निस्फ़ $\frac{1}{2}$ था मगर मय्यित की औलाद की वजह से चौथाई $\frac{1}{4}$ होगया। (2)बीवी का भी यही हाल हैं।

मिसाल.2 मसअ्ला.8

बीवी	बेटा
1	7

बीवी को अगर औलाद न हो तो चौथाई मिलता है मगर औलाद हिस्सा कम कर देती है यानी बजाए चौथाई के आठवाँ मिलेगा।

(3)माँ का हिस्सा भी औलाद या दो भाई बहनों की मौजूदगी में बजाए तिहाई के छठा रह जाता है।

मिसाल.3 मसअ्ला .6:–

माँ	बेटा
1	5

(4)पोती, पोती का हिस्सा एक हक़ीक़ी बेटी की मौजूदगी में निस्फ़ से कम होकर छठा रह जाता है
(5)बाप शरीक बहन उसका हिस्सा एक हक़ीक़ी बहन की मौजूदगी में निस्फ़ के बजाए छठा रहजाता है।

मिसाल.4 मसअला.6

बेटी	पोती	चचा
3	1	2

मिसाल.5 मसअला .6:–

बहन	बाप शरीक बहन	चचा
3	1	2

मसअला.3:– हज्ब हिरमान यानी किसी वारिस् को दूसरे वारिस् की वजह से महरूम होजाना(शरीफ़िया 51)
मसअला.4:– हर वह शख़्स जिसको मय्यित से किसी शख़्स के ज़रिआ से तअल्लुक़ हो वह इस दरम्यानी शख़्स की मौजूदगी में विरासत से महरूम रहेगा अल्बत्ता माँ शरीक बहन और भाई इस क़ानून के इत़लाक़ से मुस्तस्ना हैं मसलन दादा, बाप के होते हुए महरूम रहेगा।

मिसाल.1 मसअला.4

बीवी	बाप	दादा
1	3	महरूम

मिसाल.2 मसअला.12

बीवी	माँ	नानी	भाई
3	4	म	5

मसअला.5:–क़रीबी रिश्तेदार दूर वाले रिश्तेदार को महरूम कर देता है।

मिसाल.1 मसअला.8

बीवी	बेटा	पोता
1	7	म

पोता ख़्वाह इस बेटे से हो या दूसरे बेटे से हो महरूम रहेगा क्योंकि बेटा ब'निस्बत पोते के ज़्यादा क़रीब है।
मसअला.6:– जो वारिस् खुद मीरास् से महरूम होगया है वह दूसरे वारिस् का हिस्सा कम या बिल्कुल ख़त्म कर सकता है।

मिसाल.1 मसअला.6

बाप	भाई	भाई	माँ
5	म	म	1

अब भाई के होते हुए महरूम हैं मगर इसके बा'वजूद उन्होंने माँ का हिस्सा तिहाई से कम कर के छठा कर दिया।

मिसाल.2 मसअला .4

बीवी	दादी	बाप	नानी की माँ
1	म	3	मै

इस सूरत में दादी बाप की वजह से महरूम है मगर उसने पर'नानी को महरूम कर दिया।

हिस्सों के मख़ारिज का बयान

मसअला.1:– इस्तिलाहे फ़राइज़ में मख़रज से मुराद वह छोटे से छोटा अदद है जिसमें से तमाम वुरसा को बिला कस्र (बिना तोड़े) उनके हिस्से तक़सीम किये जा सकें। (दुर्रेमुख़्तार जि.5)

मिसाल. मसअला .6

माँ	बेटी	पोती	चचा
1	3	1	1

यहाँ छः इस्तिलाह में मख़रजुल'मसअला है, अगर्चे मसअला 12 से भी बिला कस्र दुरुस्त था और चौबीस से भी मगर छः सब से छोटा अदद है, लिहाज़ा यही मख़रजुल'मसअला है।
मसअला.2:– हम पहले बयान कर चुके हैं कि मुक़र्ररा हिस्से छः हैं जिनको दो किस्मों पर मुन्कसिम

किया गया है,

पहली क़िस्म आधा,चौथाई, आठवाँ **दूसरी क़िस्म** दो तिहाई, तिहाई, छठा,

अब अगर किसी मसअ्ला में एक ही फ़र्ज़ हिस्सा हो तो उसका मख़रज उस हिस्से का हमनाम अ़दद होगा। (शरीफ़िया 61) मस्लन अगर छठा है तो मख़रज मसअ्ला 6 क़रार पायेगा। आठवाँ है तो आठ क़रार पायेगा। और आप ने मिसालों में देख लिया कि मख़रज मसअ्ला वारिसों के ऊपर खींचे जाने वाले ख़त पर दायें जानिब लिखा जाता है आधा हिस्सा अगर हो तो इसका मख़रज दो है और दो तिहाई हो तो उसका मख़रज तीन है।

मिसाल. मसअ्ला .3

बेटी	बेटी	चचा
1	1	1

मसअ्ला.3:– अगर किसी मसअ्ला में एक से ज़्यादा हिस्से जमअ् होजायें मगर वह एक ही क़िस्म के हों(उन दो क़िस्मों में से जो हमने बयान की हैं)तो सब से छोटे का मख़रज होगा वही तमाम हिस्सों का होगा।

मिसाल.1 मसअ्ला .6

माँ	हक़ीक़ी बहन	हक़ीक़ी बहन	चचा
1	2	2	1

इस मिसाल में माँ का छठा हिस्सा है और दो बहनों का दो तिहाई है मगर छठा दो तिहाई से कम है लिहाज़ा हमने छठे के हमनाम अ़दद को मख़रजे मसअ्ला क़रार दिया है।

मिसाल.2 मसअ्ला .7

माँ	हक़ीक़ी बहन	हक़ीक़ी बहन	माँ शरीक बहन	माँ शरीक बहन
1	2	2	1	1

इस मिसाल में दूसरी क़िस्म के तमाम हिस्से जमअ् होगये हैं लिहाज़ा जो सब से छोटे हिस्से का मख़रज था वही तमाम का मख़रज क़रार पाया।

मसअ्ला.4:– अगर पहली क़िस्म का निस्फ़ $\frac{1}{2}$ दूसरी क़िस्म के किसी हिस्से के साथ आजाये या सब के साथ आजाये तो मसअ्ला छः से होगा।

मिसाल.1 मसअ्ला.6, 10

शौहर	माँ	हक़ीक़ी बहन.2	माँ शरीक बहन
3	1	4	2

इस मिसाल में शौहर का हिस्सा निस्फ़ है जो दूसरी क़िस्म के तमाम हिस्सों के साथ आ गया है यानी $\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}$ के साथ इस लिए मसअ्ला 1/6 से होगा फ़िर मोअव्वल होकर 10 से हो जायेगा।

मिसाल.2 मसअ्ला.6,(7)

शौहर	बहनें.2
3	4

मिसाल.3 मसअ्ला .6

शौहर	माँ शरीक बहनें.2	चचा
3	2	1

मिसाल.4 मसअ्ला.6

माँ	बेटी	चचा
1	3	2

मिसाल.5 मसअ्ला .6

शौहर	हक़ीक़ी बहनें.2	माँ
3	4	1

मसअ्ला.5:– अगर चौथाई दूसरी क़िस्म के किसी हिस्से या तमाम हिस्सों के साथ जमा़ हो जाये तो मख़रज मसअ्ला 12 होगा। (शरीफ़िया स.63)

मिसाल.1 मसअ्ला.12 (17)

बीवी	माँ	हक़ीक़ी बहनें.2	माँ शरीक बहनें.2
3	2	8	4

इस मिसा़ल में चौथाई 1/4 के साथ $\frac{1}{6}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}$ सब ही जमा़ हैं इस लिये मख़रज मसअ्ला 12 है।

मसअ्ला.6:– अगर आठवाँ हिस्सा दूसरी क़िस्म के तमाम हिस्सों या बा'ज़ हिस्सों के साथ आजाये

तो मख़रज मसअ्ला 24 होगा।

मिसाल.1 मसअ्ला.24

बीवी	बेटियाँ.2	माँ	चचा
3	16	4	1

इस मिसाल में आठवाँ, दो तिहाई और छठे के साथ आया है इस लिये मसअ्ला चौबीस से किया गया है।

मिसाल.2 मसअ्ला.24

बीवी	बेटियाँ.2	चचा
3	16	5

औल का बयान

मसअ्ला.1:– औल से मुराद इस्तिलाहे फ़राइज़ में यह है कि मख़रज मसअ्ला जब वुरसा के हिस्सों पर पूरा न होता हो यानी हिस्से ज़ाइद हों और मख़रज का अदद हिस्सों के मजमूई आदाद से कम हो तो मख़रज मसअ्ला के अदद में इज़ाफ़ा कर दिया जाता है इस तरह कमी तमाम वुरसा पर उनके हिस्सों की निस्बत से हो जाती है। (दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.537)

मसअ्ला.2:– औल का फ़ैसला सब से पहले सय्यदिना उमर फ़ारूक़ रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया उनके अहद में दर्जे ज़ैल मसअ्ला पेश आया आपने सहाबा से मशवरा किया तो इब्ने अब्बास ने औल का मश्वरा दिया।

मसअ्ला.6, 8

शौहर	माँ	बहन
3	2	3

इस पर किसी ने इन्कार न किया (दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.688) फिर बाद में यही तरीक़ा राइज होगया अब इस मसअ्ला में हिस्सों की तअ्दाद आठ है जब कि मख़रज छः है लिहाज़ा दो अदद का इज़ाफ़ा कर दिया गया है और एक निशान जो ع औल का मुख़फ़्फ़फ़ (छोटा करदेना) है लगा दिया गया है।

मसअ्ला.3:– छः का औल ताक़ अदद (बेजोड़ अदद) में भी होता है और जुफ़्त (जोड़े वाले अदद) में भी मगर यह औल सिर्फ़ दस तक होता है। (दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.689)

मिसाल.1 मसअ्ला.6, (7)ع

शौहर	बहन	बहन
3	2	2

मिसाल.2 मसअ्ला .6, (8)ع

माँ	शौहर	बहन	बहन
1	3	2	2

मिसाल.3 मसअ्ला .6, (9)ع

माँ	शौहर	बहन	बहन	माँ शरीक भाई
1	3	2	2	1

मिसाल.4 मसअ्ला.6,(10)ع

माँ	शौहर	बहन	बहन	माँ शरीक भाई	माँ शरीक भाई
1	3	2	2	1	1

मसअ्ला.4:– बारह का औल सत्रह तक होता है मगर यह औल जुफ़्त अदद (जोड़ अदद) में नहीं होगा सिर्फ़ ताक़ में होगा। (दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.689 शरीफ़िया स.57)

मिसाल.1 मसअ्ला.12,(13)ع

बीवी	बहन	बहन	माँ
3	4	4	2

मिसाल.2 मसअ्ला .12,(15)ع

बीवी	बहन	बहन	माँ	माँ शरीक भाई
3	4	4	2	2

मिसाल.3 मसअला.12, (17)

बीवी	बहन	बहन	माँ	माँ शरीक भाई	माँ शरीक भाई
3	4	4	2	2	2

मसअला.5:– चौबीस का औल सिर्फ़ सत्ताईस है। (दुर्रेमुख्तार जि.5 स.689)

मिसाल.1 मसअला 24 (27)

बीवी	बेटी	बेटी	माँ	बाप
3	8	8	4	4

अअ्दाद के दरम्यान निस्बतों का बयान

तख़रीज मसाइल के वक़्त वुरसा की तअ्दाद उनके हिस्सों की तअ्दाद मख़रज मसअ्ला का अदद सब ही को मद्दे नज़र रखना होता है फिर उन अअ्दाद की बाहमी निस्बतें भी तख़रीजे मसाइल के सिल्सिले में बुनयादी हैसियत रखती हैं हम उन निस्बतों का ज़िक्र करते हैं।

तमासुल:– अगर दो अदद आपस में बराबर हैं तो उनमें तमासुल की निस्बत है जैसे 4=4

तदाख़ुल:– दो मुख़्तलिफ़ अ़ददों में से छोटा अदद अगर बड़े को काट दे यानी बड़ा छोटे पर पूरा पूरा तक़सीम होजाये तो उन दोनों में निस्बत तदाख़ुल है जैसे 16 और 4

तवाफ़ुक़:– दो मुख़्तलिफ़ अ़ददों में से अगर छोटा बड़े को न काटे बल्कि एक तीसरा अ़दद दोनों को काटे तो उन दोनों में निस्बते तवाफ़ुक़ होगी जैसे 8 और 20 कि उन्हें 4 काटता है उन दोनों में तवाफ़ुक़ बिर्रुबअ् है और 5 बीस का अ़दद वफ़्क़ है जब कि दो आठ का अ़ददे वफ़्क़ है।

तबायुन:– अगर दो मुख़्तलिफ़ अ़दद इस क़िस्म के हों कि न तो वह आपस में एक दूसरे को काटें और न ही कोई तीसरा उनको काटे तो उनमें निस्बते तबायुन है जैसे 9 और 10

निस्बतों की पहचान

दो अ़ददों में मुमास्लत और मसावात तो ज़ाहिर ही होती है अल्बत्ता तदाख़ुल और तवाफ़ुक़ और तबायुन की पहचान का क़ायदा मअ्लूम होना ज़रूरी है और वह यह है।

दो अ़ददों में अगर छोटा अ़दद बड़े अ़दद को पूरा पूरा तक़सीम करदे तो यह तदाख़ुल है और अगर पूरा पूरा तक़सीम न करे तो छोटे अ़दद को बड़े अ़दद से तक़सीम करें और उसका जो बाक़ी बचे उससे छोटे अ़दद को तक़सीम करें फिर उसका जो बाक़ी बचे उससे पहले के बाक़ी को तक़सीम करें उसी तरह एक को दूसरे से तक़सीम करते रहें यहाँ तक कि बाक़ी कुछ न बचे तो अगर आख़िरी तक़सीम करने वाला अ़दद एक है तो उन दो अ़ददों में तबायुन है और अगर एक से ज्यादा दो, तीन, चार वग़ैरा कोई अ़दद है तो उनमें तवाफ़ुक़ है और उस अ़दद के नाम की मुनासबत से इस तवाफ़ुक़ का नाम भी होता है।

मस्लन आख़िरी तक़सीम करने वाला अ़दद दो था तवाफ़ुक़ बिन्निस्फ़ और तीन था तो तवाफ़ुक़ बिस्सुलुस् और चार था तो तवाफ़ुक़ बिर्रुबोअ् है। इस की मिसालें यह हैं।

13 और 45 को और 10–16 को और 15–9 को इस तरह तक़सीम किया जाये।

```
9) 15 (1        10) 16 (1        13) 45 (3
   9                10               39
  6) 9 (1          6)10(1           6) 13 (2
   3) 6 (2           6                12
      6           4) 6 (1           1) 6 (6
                     4                 6
                  2) 4 (2
                     4
```

पहली मिसाल में आख़िरी तक़सीम करने वाला अ़दद एक है लिहाज़ा 13 और 45 में तबायुन है। दूसरी मिसाल में आख़िरी तक़सीम करने वाला अ़दद दो है लिहाज़ा 10 और 16 में तवाफ़ुक़

बिन्निस्फ़ है और तीसरी मिसाल में आख़िरी तक़सीम करने वाला अ़दद तीन है लिहाज़ा 9 और 15 में तवाफ़ुक़ बिस्सुलुस् है।

तवाफ़ुक़ की सूरत में उन दोनों अ़ददों को तक़सीम करने वाले अ़दद से उन दोनों को तक़सीम करके जो अ़दद हासिल होगा वह उसका वफ़्क़ कहलाता है मसलन 16 और 10 को दो से तक़सीम किया तो 16 का वफ़्क़ 8 है और 10 का वफ़्क़ 5 है और 9 और 15 को 3 से तक़सीम किया तो 9 का वफ़्क़ 3 है और 15 का वफ़्क़ 5 है।

तस्हीह:– अगर वारिसों की तअ़दाद और अस्ल मसअ्ला से मिलने वाले हिस्सों में कस्र वाक़ेअ् हो जाये तो इस कस्र के दूर करने को तस्हीह कहते हैं। (ज़ौउस्सिराज हाशिया शरीफ़िया 72) और कभी हिस्सों के कम अज़ कम अ़दद से हासिल करने को भी तस्हीह कहते हैं (शरीफ़िया 72) यानी अस्ल मसअ्ला पर भी तस्हीह का इतलाक़ होता है इस सिलसिले में मजमूई तौर पर सात उसूल कार फ़रमा हैं। तीन तो हिस्सों और अअ़दादे रुऊस (यानी जो लोग हिस्सा पाने वाले हैं उनकी तअ़दाद) के दरम्यान हैं और चार खुद अअ़दादे रुऊस के दरम्यान हैं।

मसअ्ला.1:– अगर हर फ़रीक़ के हिस्से उस पर बिला कस्र के मुन्क़सिम हो रहे हैं तो तस्हीह की कोई ज़रूरत नहीं। (शरीफ़िया 72)

मिसाल.1 मसअ्ला.6

माँ	बाप	बेटियाँ.2
1	1	4

अब यहाँ वारिसों के तीन फ़रीक़ हैं और हर फ़रीक़ को पूरा पूरा हिस्सा बिग़ैर कस्र के मिल गया दो बेटियाँ जो एक फ़रीक़ हैं उनका मजमूई हिस्सा 4 है जिस में से दो, दो हर एक को मिल गये।

मसअ्ला.2:– अगर एक फ़रीक़ पर कस्र वाक़ेअ् हो और उनके अ़दद सिहाम (हिस्सों की तअ़दाद) और अ़ददे रुऊस में निस्बते तवाफ़ुक़ हो तो इस फ़रीक़ के अ़ददे रुऊस का अ़ददे वफ़्क़ निकाल कर उसे अस्ल मसअ्ले में ज़र्ब देंगे और अगर मसअ्ला आइला है तो इसके औल में ज़र्ब देंगे अब जो हासिल होगा वह तस्हीहे मसअ्ला है। फिर इसी अ़ददे वफ़्क़ को हर फ़रीक़ के हिस्से में ज़र्ब दी जायेगी इस तरह इस फ़रीक़ का हिस्सा बिला कस्र निकल आयेगा। अब रहा फ़रीक़ के हर हर फ़र्द का हिस्सा तो उसकी तख़रीज का तरीक़ा हम बाद में बयान करेंगे।

मिसाल.1 मसअ्ला .6त30 अल'मज़रूब 5

माँ	बाप	बेटियाँ 10 (5)
1/5	1/5	4/20

सूरते मज़कूरा में कस्र सिर्फ़ एक फ़रीक़ पर थी यानी बेटियों पर उनके अ़ददे रुऊस 10 और अ़ददे सिहाम 4 में तवाफ़ुक़े बिन्निस्फ़ है यानी दोनों को काटने वाला अ़दद 2 है। लिहाज़ा इस का अ़ददे वफ़्क़ 5 निकला। अब इस को हमने अस्ल मसअ्ला (जो 6 से है) में ज़र्ब दिया तो तीस हासिल ज़र्ब निकाला यह तीस तस्हीहे मसअ्ला है जिस को "त" से ज़ाहिर किया गया है जो तस्हीह का मुख़फ़्फ़फ़ है फिर उसी मज़रूब 5 को हर फ़रीक़ के हिस्से से ज़र्ब दी गई जिस से हर फ़रीक़ का हिस्सा बिला कस्र मअ़लूम होगया।

मिसाल.2 मसअ्ला .12,15 त45 अलमज़रूब 3

शौहर	माँ	बाप	बेटियाँ 6 (3)
3/9	2/6	2/6	8/24

इस सूरत में हिस्से मख़रज मसअ्ला से बढ़ गये थे लिहाज़ा मसअ्ला आइला होगया फिर सिहाम और रुऊस में निस्बत देखी गई तो सिर्फ़ एक ही फ़रीक़ पर कस्र थी, वह बेटियाँ हैं उनके और उनके हिस्सों के दरम्यान निस्बते तवाफ़ुक़ बिन्निस्फ़ है लिहाज़ा हमने अ़ददे रुऊस के अ़ददे वफ़्क़ को औल मसअ्ला में ज़र्ब दी और इस तरह हासिल ज़र्ब मख़रज मसअ्ला बन गया। फिर

उसी मज़रूब को हर फ़रीक़ के हिस्से से ज़र्ब दे दी गई।

मसअ्ला.3:– अगर कस्र एक ही फ़रीक़ पर हो मगर उनके अ़ददे सिहाम और अ़ददे रुऊस में निस्बते तबायुन हो तो तस्हीह का तरीक़ा यह है कि जिस फ़रीक़ पर कस्र है उसके कुल अ़ददे रुऊस को अस्ल मसअ्ला में या औल मसअ्ला में (अगर मसअ्ला आइला है) ज़र्ब दें और उसी तरह हर फ़रीक़ के हिस्से में।

मिसाल.1 मसअ्ला 6 त18 अलमज़रूब 3

शौहर	दादी	अख़्वातुलउम 3
3	1	2
9	3	6

मिसाल.2 मसअ्ला 6,(7) 35 अलमज़रूब 5

शौहर	बहनें
3	4
15	20

मसअ्ला.4:– मज़कूरा तीनों उसूल उस वक़्त जारी होंगे जब कस्र एक फ़रीक़ पर हो लेकिन एक से ज़ाइद फ़रीक़ों पर कस्र होने की सूरत में मुन्दरजा ज़ैल चार उसूलों से काम लिया जायेगा।

मसअ्ला.5:– अगर कस्र एक से ज़ाइद फ़रीक़ों पर हो तो रुऊस के दरम्यान निस्बत देखी जायेगी अगर अअ़्दादे रुऊस आपस में मुतमासिल हों तो किसी एक अ़दद को अस्ल मसअ्ला में या इस के औल में (अगर मसअ्ला आइला हो) ज़र्ब देंगे फिर इसी मज़रूब को हर फ़रीक़ के हिस्से में ज़र्ब देंगे।

मिसाल.1 मसअ्ला .6, त18 अलमज़रूब 3

बेटियाँ.6	दादियाँ.3	चचा.3
4/12	1/3	1/3

तौज़ीह इस की यह है अस्ल मसअ्ला 6 से हुआ जिसमें से 6 बेटियों को दो तिहाई यानी 4 मिले अब चूंकि चार, छः पर पूरी तरह तक़सीम नहीं होता और 4, 6में तवाफ़ुक़ है, लिहाज़ा 6 का वफ़्क़ अ़दद 3 होगया और तीन दादियों को एक और तीनों चचों को एक मिला जो उन पर पूरा तक़सीम नहीं होता अब हमारे पास यह अ़ददे रुऊस हैं 3,3,3,इनमें तमासुल है, लिहाज़ा किसी एक अ़दद को अस्ल मसअ्ला में ज़र्ब देंगे और फिर मज़रूब को हर फ़रीक़ के हिस्से से ज़र्ब दी जायेगी।

मसअ्ला.6:– अगर कस्र वारिसों के एक से ज़ाइद फ़रीक़ों पर है मगर उनके अअ़्दादे रुऊस में आपस में निस्बते तदाख़ुल है तो जो बड़ा अ़दद है उसे अस्ल मसअ्ला में ज़र्ब देंगे या अगर आइला है तो उसके औल में देंगे।

मसअ्ला.7:– अगर कस्र वारिसों के एक से ज़ाइद फ़रीक़ों पर हो और उनके अ़ददे रुऊस में तवाफ़ुक़ हो तो इसका तरीक़ा यह है कि एक अ़ददे रुऊस के वफ़्क़ को दूसरे फ़रीक़ के कुल अ़ददे रुऊस में ज़र्ब देंगे। फिर हासिल ज़र्ब की निस्बत तीसरे फ़रीक़ के अ़ददे रुऊस से देखेंगे अगर उनमें तवाफ़ुक़ हो तो एक के वफ़्क़ को दूसरे के कुल में ज़र्ब देंगे। और अगर हासिल ज़र्ब और तीसरे फ़रीक़ के अ़ददे रुऊस में तबायुन की निस्बत हो तो पूरे एक अ़दद को दूसरे में ज़र्ब दे लेंगे फिर हासिल ज़र्ब को चौथे फ़रीक़ के अ़ददे रुऊस के साथ उसी तरह देखेंगे। अगर तवाफ़ुक़ होगा तो एक के पफ़्क़ को दूसरे कुल अ़दद में ज़र्ब देंगे और अगर तबायुन हो तो एक अ़दद को दूसरे से ज़र्ब देंगे। इसी तरह जितने फ़रीक़ में कस्र होगी, करेंगे। आख़िर में जो हासिल ज़र्ब होगा उसको अस्ल मसअ्ला में या औल वाले मसअ्ला में औल से ज़र्ब दे देंगे और उसी अ़दद को हर फ़रीक़ के हिस्से में भी ज़र्ब दे देंगे।

मिसाल. मसअ्ला .24, त4320 अल मज़रूब180

बीवियाँ 4	बेटियाँ.18 (9)	दादियाँ.15	चचा 6
3/540	16/2880	4/720	1/180

जैसा कि आप वाज़ेह तौर पर देख रहे हैं इस मसअ्ला में हर फ़रीक़ पर कस्र है लिहाज़ा हम पहले तो अअ़्दादे सिहाम और अअ़्दादे रुऊस की निस्बत देखेंगे, तो 3, 4 में तबायुन है लिहाज़ा यह अअ़्दाद यूँही रहेंगे,16,18में भी तवाफ़ुक़ बिन्निस्फ़ है लिहाज़ा 18 का अ़दद वफ़्क़ निकालेंगे जो 9 है

अब गोया यह अदद 9 ही है और रुऊस के दरम्यान निस्बत देखते हुए 18 का लिहाज़ न होगा बल्कि 9 का ही होगा. 4, 6 में निस्बते तवाफुक है तो उनमें से किसी एक का अददे वफ्क निकाल कर दूसरे में ज़र्ब दे सकते हैं यहाँ 6 का अददे वफ्क निकाला तो 3 निकला अब 4 को 3 में ज़र्ब दी तो 12 हासिल हुए अब 12 और 9 में भी निस्बते तवाफुक बिस्सुलुस की है तो 9 का अददे वफ्क निकाला जो 3 है और 12 को 3 में ज़र्ब दी 36 हासिल आया, अब 36 और 15 में भी तवाफुक बिस्सुलुस है लिहाज़ा 15 के अददे वफ्क 5 को 36 में ज़र्ब दी तो 180 हासिल हुए अब उसको अस्ल मसअला 24 में ज़र्ब दी तो 4320 'चार हज़ार तीन सौ बीस' हासिल आया जो मख़रज मसअला है फिर उसी मज़रूब 180 को हर फ़रीक के हिस्से में ज़र्ब दीगई तो वह हासिल आया जो हमने हर एक फ़रीक के नीचे लिख दिया है।

मसअ्ला.8:– अगर कस्र एक से ज़ाइद फ़रीकों पर हो और अअ्दादे तबायुन में तबायुन हो तो किसी एक को दूसरे अददे रुऊस में ज़र्ब दी जायेगी फिर उसकी निस्बत दूसरे अददे रुऊस से देखी जायेगी अगर तबायुन की निस्बत हो तो उसको दूसरे अददे रुऊस से ज़र्ब देंगे और बिल आख़िर जो हासिल होगा उस को अस्ल मसअ्ला में ज़र्ब देंगे।

मिसाल. मसअ्ला .24, त5040 अल मज़रूब 210

बीवियाँ 2	दादियाँ 6 (3)	बेटियाँ 10 (5)	चचा 7
3 / 630	4 / 840	16 / 3360	1 / 210

तौज़ीह:– अब 3, 2 में तबायुन है लिहाज़ा यह इसी तरह रहेंगे और 4, 6 में तवाफुक बिन्निस्फ है तो 6 का अददे वफ्क 3 निकाल लिया गया। इस तरह 16, 10में तवाफुक बिनिस्फ है तो 10 का अददे वफ्क निकाल लिया जो 5 है और 1, 7 में तबायुन है लिहाज़ा वह अपनी जगह रहा। अब हमारे पास यह अअ्दादे रुऊस हैं 2, 5, 7 यह सब आपस में मुतबाइन हैं लिहाज़ा 2 को 3 में ज़र्ब दी तो हासिल 6 हुआ इस को 5 में ज़र्ब दी तो 30 हासिल हुआ। उसको 7 में ज़र्ब दी तो हासिल 210 दो सौ दस आया। अब उस को 24 अस्ल मसअ्ला में ज़र्ब दी तो हासिल 5040 'पाँच हज़ार चालीस' आया और यह मख़रज मसअ्ला है फिर इसी मज़रूब 210 को हर फ़रीक के हिस्से में ज़र्ब दी तो वह हासिल आया जो हर फ़रीक के नीचे लिखा है,

मसअ्ला.9:– इस्तिकरा (गौर व फ़िक्र) से यह बात साबित है कि चार फ़रीकों से ज़ाइद पर कस्र नहीं आ सकती।

हर वारिस् का हिस्सा मालूम करने का उसूल

हर फ़रीक या वारिसों के हर ग्रुप का मजमूई हिस्सा मालूम करने का तरीका तो हम बयान कर चुके अगर हर ग्रुप के हर फर्द का हिस्सा मालूम करना हो तो उसके कई तरीके हैं चन्द हम ज़िक्र करते हैं।

(1)हर फ़रीक के हिस्से को (जो उस फ़रीक को अस्ल मसअ्ला से मिला है) उनके अददे रुऊस पर तकसीम करदें फिर जो ख़ारिजे किस्मत (तकसीम से निकला हुआ) है उसे इस अदद में ज़र्ब दें जिस को तस्हीह के लिये अस्ल मसअ्ला में ज़र्ब दिया था, अब जो हासिल होगा वह इस फ़रीक के हर फर्द का हिस्सा होगा।

मिसाल. मसअ्ला. 24, त.5040 अल मज़रूब 210

बीवियाँ 2	दादियाँ 6	बेटियाँ 10	चचा 7
3 / 630	4 / 840	4 / 3360	1 / 210
लिकुल्लि वाहिद 315	लिकुल्लि वाहिद 140	लिकुल्लि वाहिद 336	लिकुल्लि वाहिद 30

तौज़ीहः– अब इस मसअ्ला में बीवियों को 3 मिले जब कि अ़ददे रुऊस 2 है लिहाज़ा हमने 3 को दो पर तक़सीम किया तो ख़ारिजे क़िस्मत $1\frac{1}{2}$ निकाला फिर इस को अल'मज़रूब 210 में ज़र्ब दिया तो हासिल 315 आया जो हर बीवी का हिस़्सा है उसको क़ायदे के मुताबिक़ फ़रीक़ के हिस़्से के नीचे लिकु.. 315 लिख दिया गया लिकु... दर अस्ल 315 आया जो हर बीवी का हिस़्सा है उसको क़ायदे के मुताबिक़ फ़रीक़ के हिस़्से के नीचे लिकु.. 315 लिख दिया गया लिकु.... के मअ्ना (हर एक का) है, इस तरह बेटियों का मजमूई हिस़्सा 16 है और अ़ददे रुऊस 10 है लिहाज़ा 16 को 10 पर तक़सीम किया गया, $1\frac{3}{5}$ फिर उसको मज़रूब 210 में ज़र्ब दिया गया तो 336 हासिल हुआ और यही हर बेटी का हिस़्सा है, यही अ़मल तमाम फ़रीक़ों के साथ क़िया जायेगा।

दूसरा तरीक़ा यह है कि अलमज़रूब को फ़रीक़ के अअ्दादे रुऊस पर तक़सीम कर दिया जाये फिर ख़ारिज क़िस्मत को उसी फ़रीक़ के हिस़्से में (जो अस्ल मसअ्ला से उन को मिला है) ज़र्ब दे दिया जाये तो हासिल हर फ़र्द का हिस़्सा होगा, अब मज़कूरा मिसाल ही को लेलें इस में बीवियों का हिस़्सा 3 है और उनकी तअ्दाद 2 है, जब मज़रूब (जिसको अस्ल मसअ्ला में ज़र्ब दी थी) 210 को 2 पर तक़सीम किया, तो 105 एक सौ पाँच हासिल हुआ, अब उस को बीवियों के मजमूई हिस़्से 3 से ज़र्ब दी तो 315 हासिल हुआ जो हर बीवी का इन्फ़िरादी हिस़्सा है यही अ़मल दूसरे फ़रीक़ों के साथ किया जायेगा।

तीसरा तरीक़ा यह है कि हर फ़रीक़ के हिस़्से को (जो अस्ल मसअ्ला से उस को मिला है) उनके अ़ददे रुऊस से निस्बत दें फिर उस निस्बत के लिहाज़ से मज़रूब से उस फ़रीक़ के हर फ़र्द को देदें, मस्लन उसी मसअ्ला में जब बीवियों के हिस़्सा 3 को अ़ददे रुऊस 2 से निस्बत दी $1\frac{1}{2}$ की निस्बत निकली अब उसी निस्बत के एअ्तिबार से मज़रूब से हर बीवी को दिया तो 315 आया यही अ़मल हर एक फ़रीक़ के साथ किया जायेगा उसके एलावा और तरीक़ा भी है जो हिसाब दाँ हज़रात के लिये मुश्किल नहीं।

वारिसों और दूसरे हक़दारों में तर्का की तक़सीम का तरीक़ा

जो कुछ माल मय्यित ने छोड़ा हो उसकी तक़सीम उसी तर्तीब पर होगी जिसका ज़िक्र शुरूअ् किताब में हुआ अब वारिसों और दूसरे हक़दारों में तर्का तक़सीम करने का तरीक़ा ज़िक्र किया जाता है।

(1)अगर तर्का और तस्हीह में मुमासलत हो तो ज़र्ब वग़ैरा की ज़रूरत नहीं और मसअ्ला दुरूस्त है।

मिसाल मसअ्ला. 6 तर्का 6 रूपया

माँ	बाप	बेटियाँ.4
1	1	4

तौज़ीहः– अब तर्का यानी वह माल जो मय्यित ने छोड़ा है उसका अ़दद 6 है जो 6 से मुमासलत रखता है इस लिये पूरा पूरा तक़सीम होगया।

मसअ्ला.1:– अगर मय्यित के पास कुछ नक़्द रूपया हो और कुछ दूसरा माल तो सब की मुनासिब क़ीमत लगाई जाये फिर तक़सीम किया जाये।

मस्अला.2:– अगर तर्के और तसहीह में तबायुन हो तो वारिस के सिहाम को जो उसे तसहीह से मिले हैं कुल तर्के में ज़र्ब दें और हासिल ज़र्ब को तसहीह से तक़सीम करें जो जवाब होगा वह उस वारिस का हिस़्सा है।

मसअ्ला .6 तर्का 7 रूपये

बिन्त(लड़की)	बिन्त	माँ	बाप
2	2	1	1

तौज़ीहः– इस सूरत में तसहीह का अ़दद छः है और तर्का सात रूपया है छः और सात में तबायुन है इस लिये एक लड़की के हिस़्से यानी दो को सात में ज़र्ब दिया तो हासिल ज़र्ब चौदह हुआ इस को छः से तक़सीम किया तो $2\frac{1}{3}$ रूपया बेटी का हिस़्सा हुआ और बाप का तर्का एक है उस को 7 से ज़र्ब दिया तो 7 हुए उस को 6 से तक़सीम किया तो $1\frac{1}{6}$ रूपया बाप का हिस़्सा हुआ।

मसअला.3:– अगर तर्का के और तसहीह में तवाफुक़ हो तो वारिस् के सिहाम को तर्के के वफ़्क़ में ज़र्ब दें और हासिल ज़र्ब को तस्हीह के वफ़्क़ से तक़सीम करें जो जवाब होगा वह उस वारिस् का हिस्सा है।

मसअला.6, 2		तर्का 15 रूपया, 5
बाप	माँ	बेटी
2	1	3

तौज़ीह :– तसहीह का अदद छः है और तर्का पन्द्रह रूपया, छः और पन्द्रह तवाफुक़ बिस्सुलुस् है छः का वफ़्क़ दो हुआ और पन्द्रह का वफ़्क़ पाँच। लिहाज़ा बाप के हिस्से यानी दो को पन्द्रह के वफ़्क़ पाँच में ज़र्ब दिया हासिल ज़र्ब दस हुआ। दस को छः के वफ़्क़ दो से तक़सीम किया तो पाँच जवाब आया, यह बाप का हिस्सा है। बेटी के हिस्से तीन को पन्द्रह के वफ़्क़ पाँच में ज़र्ब दिया तो पन्द्रह हुआ उसे छः के वफ़्क़ दो से तक़सीम किया तो $7\frac{1}{2}$ बेटी का हिस्सा हुआ। माँ के हिस्से एक को पाँच पर ज़र्ब दिया तो जवाब पाँच हुआ। उस को दो से तक़सीम किया तो जवाब $2\frac{1}{2}$ हुआ यह माँ का हिस्सा है।

क़ायदा:– अगर तर्के और तसहीहे मसअला में तदाखुल हो तो छोटे अदद से बड़े अदद को तक़सीम करने के बाद जो जवाब आयेगा उसको उस अदद का वफ़्क़ मानकर वही अमल किया जायेगा जो तवाफुक़ की सूरत में किया जाता है यानी अगर तर्के का अदद तसहीह से ज़्यादा है तो तसहीह से तर्के को तक़सीम करने के बाद जो अदद हासिल होगा उसको हर वारिस् के सिहाम में ज़र्ब दे देने से उस वारिस् का हिस्सा मालूम होजायेगा और अगर तस्हीह का अदद तर्के से ज़्यादा है तो तर्के से तसहीह को तक़सीम करके जो अदद हासिल होगा वह तसहीह का वफ़्क़ होगा इस से हर वारिस् के सिहाम को तक़सीम करने से उस वारिस् का हिस्सा मालूम होजायेगा।

मसअला .6		तर्का 18रूपये 3
बाप	माँ	बेटी
2	1	3

तौज़ीह:– तसहीह मसअला छः और तर्का अठारह रूपया में तदाखुल है तो छः से अठारह को तक़सीम किया तो तीन जवाब आया। तीन को बेटी के हिस्से यानी तीन सिहाम को अठारह के वफ़्क़ तीन में ज़र्ब दिया तो नौ रुपये बेटी का हिस्सा होगया उसी तरह दूसरे वारिसों का निकाल दिया जायेगा।

मसअला .2, 24			तर्का 12रूपये
बाप	माँ	बेटी	ज़ौजा
5	4	12	3

तौज़ीह:– तसहीह के अदद चौबीस और तर्का के अदद बारह में तदाखुल है तो बारह से चौबीस को तक़सीम किया जवाब दो आया यह चौबीस का वफ़्क़ है। बेटी का हिस्सा जो बारह सिहाम था उसे दो से तक़सीम किया तो लड़की का हिस्सा छः रुपये होगया और बाप के पाँच सिहाम को दो से तक़सीम किया तो $2\frac{1}{2}$ रुपये बाप का हिस्सा हुआ माँ के चार सिहाम को दो से तक़सीम किया तो दो रुपये माँ का हिस्सा हुआ। बीवी के तीन सिहाम को दो से तक़सीम किया डेढ़ रुपया बीवी का हिस्सा होगया।

मसअला.4:– अगर हर फ़रीक़ का हिस्सा मालूम करना हो तो उसका तरीक़ा यह है कि हर फ़रीक़ को जो कुछ अस्ल मसअला से मिला है तो तवाफुक़ की सूरत में उसे तर्का के वफ़्क़ में ज़र्ब दें और हासिल ज़र्ब को तस्हीह मसअला के वफ़्क़ पर तक़सीम करें अब जो ख़ारिज होगा वह इस फ़रीक़ का हिस्सा है।

मिसाल. मसअला .6 तअव्वुल इला 9 (3) तर्का 30 (10) रुपये

शौहर	बहनें 4	माँ शरीक बहनें 2
3	4	2
10	$13\frac{1}{3}$	$6\frac{2}{3}$

तौज़ीहः— बहनों को अस्ल मसअ्ला से मजमूई तौर पर 4 मिले थे चार को तर्का के वफ्क 10 में ज़र्ब दी तो हासिल 40 आया अब इस 40 को वफ्क मसअ्ला पर तक़सीम किया तो ख़ारिज क़िस्मत $13\frac{1}{3}$ आया यही चार बहनों के तर्का से मजमूई हिस्सा है यही हाल बाकी फरीकों का है।

मसअ्ला.5:— अगर तसहीह और तर्का में तबायुन की निस्बत हो तो हर फरीक़ के हिस्से को कुल तर्का में ज़र्ब देंगे और हासिल को कुल तसहीह पर तक़सीम कर देंगे अब ख़ारिज क़िस्मत उस फरीक़ का मजमूई हिस्सा होगा।

मिसाल. मसअला .6 तअव्वुल इला 9 तर्का 32 रुपये

शौहर	बहनें 4	माँ शरीक बहनें 2
3	4	2
$10\frac{2}{3}$	$14\frac{2}{9}$	$7\frac{1}{9}$

मसअ्ला.6:— अगर फ़रीक़ के हर हर फ़र्द का हिस्सा करना हो तो उसका तरीक़ा भी वही है जो ऊपर मज़कूर हुआ सिर्फ़ फ़र्क़ इतना है कि बजाए फ़रीक़ के हिस्से को ज़र्ब देने के हर हर फ़र्द के हिस्से को ज़र्ब दी जायेगी।

मिसाल. मसअला .6 तअव्वुल इला 9 (3) तरका 30रुपये (10)

शौहर	बहनें 4	माँ शरीक बहनें 2
3	4	2
10	$13\frac{1}{3}$	$6\frac{2}{3}$
	लिकु. $3\frac{1}{3}$	लिकु. $3\frac{1}{3}$

तौज़ीहः— अब मिसाले मज़कूर में शौहर का हिस्सा तो वाज़ेह है, एक बहन का हिस्सा अगर मालूम करना हो तो एक बहन के हिस्से को वफ़्के तर्का में ज़र्ब देंगे, यानी एक को दस में देंगे तो हासिल दस आया अब दस को तीन पर तक़सीम किया तो हासिल $3\frac{1}{3}$ आया

क़र्ज़ ख़्वाहों में माल की तक़सीम

मसअ्ला:— अगर मय्यित का माल इतना है कि हर क़र्ज़ ख़्वाह को उसका पूरा पूरा हक़ मिल सकता है जब तो ज़ाहिर है किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं लेकिन अगर सूरत यह हो कि कर्ज़ ख़्वाह ज़्यादा हैं। और तर्का कम है अब किसी एक को पूरा अदा करना और बाक़ी को कम देना इन्साफ़ के तक़ाज़ों के ख़िलाफ़ है। इस लिये एक ऐसा तरीक़ा वज़अ् किया गया है कि हर कर्ज़ ख़्वाह को इन्साफ़ से मिलजाये और वह यह कि हर क़र्ज़ ख़्वाह का दैन ब'मन्ज़िला सिहाम के तसव्वुर किया जाये और तमाम क़र्ज़ ख़्वाहों के क़र्ज़ का मजमूई ब'मन्ज़िला तसहीह यानी मख़रज मसअ्ला के तसव्वुर किया जाये और फिर वही अमल किया जाये जो तर्का की तक़सीम में होता है।

मसलनः एक शख़्स मरगया और तर्का 9 रुपये छोड़े जब कि उस पर एक शख़्स के 10 रुपये थे दूसरे के 5, तो मजमूआ 15रू. हुआ उसको ब'मन्ज़िला मख़रज मसअ्ला के किया और 9 व 15 में तवाफ़ुक़ बिस्सुलुस् है अब हमने दस वाले को (जो एक शख़्स का कर्ज था) 3 में (जो वफ्के तर्का है) ज़र्ब दी तो हासिल तीस आया अब इस हासिल को वफ़्के तसहीह 5 पर तक़सीम किया तो ख़ारिज दस वाले का हिस्सा क़रार पाया और वह 6 है।

मिसाल. मसअला 15 (5) तर्का 9 रुपये(3)

कर्ज़ जैद 10	कर्ज़ ख़ालिद 5
10	5
6 रुपये	3 रुपये

इस पर क़यास करते हुए तबायुन की सूरत का हल कुछ मुश्किल न होगा।

तख़ारुज का बयान

इससे मुराद यह है कि वारिसों में कोई या कर्ज़ख़्वाहों में से कोई, तक़सीमे तर्का से पहले मय्यित के माल में से किसी मुअ़य्यन चीज़ को लेना चाहे और उसके एवज़ अपने हक़ से दस्त'बर्दार हो जाये ख़्वाह वह हक़ उस चीज़ से ज़्यादा हो या कम और उस पर तमाम वुरसा या क़र्ज़ ख़्वाह मुत्तफ़िक़ होजायें तो उसका नाम फ़िक़ह की इस्तिलाह में "तख़ारुज" या "तसालुह" है, इस सूरत में तरीक़े तक़सीम यह है कि इस शख़्स के हिस्से को तस्हीह से ख़ारिज करके बाक़ी माल तक़सीम कर दिया जाये। (शरीफ़िया स.85 दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.565)

मस्लनः एक औ़रत ने वुरसा में शौहर, माँ और चचा छोड़े, अब शौहर ने कहा मैं अपना हिस्सा महर के बदले छोड़ता हूँ, इस पर बाक़ी वुरसा राज़ी होगये तो माल इस तरह तक़सीम होगा।

मिसालः मसअला. 3

माँ	चचा
2	1

तौज़ीहः— अब अस्ल मसअला शौहर के होते हुए 6 था, जिस में से 3 शौहर को मिलना थे और तिहाई 2 माँ को मिलना थे, जब कि 1 चचा का था, इस लिये शौहर का हिस्सा महर के एवज़ साक़ित होगया और बाक़ी वारिसों के हिस्से हस्बे साबिक़ रहे ख़ुलासा यह कि वारिसों को वही हिस्से मिलेंगे जो तख़ारुज से क़ब्ल होने वाले वारिस् की मौजूदगी में मिलते थे। (दुर्रेमुख़्तार जि.5, स.565)

रद्द का बयान

मसअ्ला:— रद्द औ़ल की ज़िद है क्योंकि औ़ल में हिस्से मख़रज से ज़ाइद होजाते हैं और मख़रज मसअ्ला में इज़ाफ़ा करना पड़ता है जबकि रद्द में हिस्से घट जाते हैं और मख़रज मसअ्ला में कमी करना पड़ती है, अब अगर यह सूरत वाक़ेअ् हो कि मख़रज से अस्हाबे फ़राइज़ को उनके मुक़र्ररा हिस्सों के देने के बाद भी कुछ बच जाये और कोई अ़स्बा भी मौजूद न हो तो बाक़ी मान्दा (बचे हुए) को असहाबे फ़राइज़ पर उनके हिस्सों की निस्बत से दोबारा तक़सीम किया जायेगा। (शरीफ़िया स.86)

मसअ्ला.2:— शौहर और बीवी पर रद्द नहीं किया जायेगा जमहूर सहाबा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम का यही क़ौल है। (शरीफ़िया स. 86 व मुहीत सर्ख़सी बहवाला आ़लमगीरी स. 469 जि.6)

इस ज़माने में बैतुल'माल का निज़ाम नहीं है इस लिए ज़ौजेन पर रद्द कर दिया जायेगा जब कि और कोई वारिस् न हो। (शामी व दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.689)

मसअ्ला.3:— रद्द के मसाइल चार अक़साम पर मुश्तमिल हैं पहली क़िस्म यह है कि मसअ्ला में उन वारिसों में से जिन पर रद्द होता है सिर्फ़ एक क़िस्म हो और जिन पर रद्द नहीं होता है यानी (ज़ौजैन) में से कोई न हों इस सूरत में मसअ्ला उनके अ़ददे रुऊस से किया जायेगा क्योंकि माल सब का सब उन्हीं को देना है और चूंकि रुऊस व मख़रज में तमासुल है इस लिये मज़ीद किसी अ़मल की ज़रूरत नहीं। (आ़लमगीरी जि.6 स.469, तबईनुल'हक़ाइक़ जि.6 स.247)

मिसाल.1 रद्द के साथ मसअला. 2

बेटी	बेटी
1	1

मिसाल.2 रद्द के साथ मसअला.2

बहन	बहन
1	1

मसअ्ला.4:— अगर मसअ्ला में एक से ज़ाइद अजनास (चीज़ें) उन वारिसों की हैं जिन पर रद्द होता है और जिन पर रद्द नहीं होता है वह नहीं हैं तो मसअ्ला उन के सिहाम से किया जायेगा। (आ़लमगीरी)

मिसाल.1 रद्द के साथ मसअला.2

माँ शरीक बहन	दादी
1	1

तौज़ीहः— इस मसअ्ला में दादी का हिस्सा छठा है और माँ शरीक बहन का भी यही है, मसअ्ला अगर 6 से किया जाता तो हर एक को एक एक मिलता और 4 बचते, इसलिए मसअ्ला उनके सिहाम यानी 2 से कर दिया गया।

मिसाल.2 रद्द के साथ मसअ्ला .3

माँ शरीक बहनें. 2	माँ
2	1

तौज़ीहः— चूंकि माँ शरीक बहनें दो हैं, इस लिये इनका मुक़र्ररा हिस्सा सुलुस् 1/3 है जब कि माँ का हिस्सा छठा है। अब अगर मसअ्ला 6 से किया जाये तो बहनों को छः में से 2 मिलते हैं और माँ को एक, लिहाज़ा उनके मजमूई सिहाम तीन हुए पस बजाए उसके कि छः से मसअ्ला करें 3 ही से कर दिया, इस तरह फ़र्ज़ हिस्सा देने के बाद जो कुछ बचा वह भी उन्हीं की तरफ़ रद्द हो गया।

मिसाल.3 रद्द के साथ मसअ्ला.4

बेटी	पोती
3	1

तौज़ीहः— अस्ल मसअ्ला 6 से था जिनमें से निस्फ़ (यानी 3) बेटी का है और छठा यानी एक पोती का है तो कुल हिस्से 4 हुए इन्हीं से मसअ्ला कर दिया गया।

मिसाल.4 रद्द के साथ मसअ्ला. 5

बेटी 2	माँ
4	1

तौज़ीहः— चूंकि बेटियाँ 2 हैं उनको छः का दो तिहाई यानी 4 मिलना है जब कि माँ को एक मिलेगा इस तरह मजमूई सिहाम 5 बनते हैं और उन्हीं से मसअ्ला कर दिया।

मिसाल.5 रद्द के साथ मसअ्ला.5

बेटी	पोती	माँ
3	1	1

मिसाल.6 रद्द के साथ मसअ्ला.5

बहन	माँ शरीक बहनें 2
3	2

मसअ्ला.5:— अगर من يرد عليه (यानी जिस पर रद होता है) की एक जिन्स हो और मन ला युरद्दु अ़लैहि (यानी जिस पर रद्द नहीं होता है) भी हों, तो मन लायुरद्दु अ़लैहि का हिस्सा पहले उसके अक़ल्ले मख़ारिज से दिया जायेगा और इस मख़रज से जो बचेगा उसको मंय्युरद्दु अ़लैहि के रुऊस पर तक़सीम कर दिया जायेगा अब अगर यह बाक़ी उन रुऊस पर पूरा तक़सीम होजाये तब तो ज़र्ब वग़ैरा की ज़रूरत नहीं जैसा कि आगे आयेगा। (आलमगीरी जि.6 स.470 दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.547)

मिसाल:1 रद्द के साथ मसअ्ला .4

शौहर	बेटियाँ 3
1	3

तौज़ीहः— जैसा कि आप देख रहे हैं, इस मसअ्ला में शौहर मन लायुरद्दु अ़लैहि में से है जब कि बेटियाँ मंयुरद्दु अ़लैहि में से हैं, अब शौहर के लिये दो मख़रज थे एक निस्फ़ और दूसरा रुबअ् (चौथाई) अक़ल्ले मख़ारिज है। पस हमने 4 से मसअ्ला किया और शौहर का हिस्सा देदिया। अब 3 बचे तो उनको मंयुरद्दु अ़लैहि यानी बेटियों के अ़ददे रुऊस 3 पर तक़सीम कर दिया गया जो पूरा तक़सीम होगया लिहाज़ा मज़ीद किसी अ़मल की ज़रूरत न हीं।

मसअ्ला.6:— अगर मन लायुरद्दु अ़लैहि को उनके अक़ल्ले मख़ारिज से देने के बाद बाक़ीमान्दा(बचे हुए) मंयुरद्दु अ़लैहि के रुऊस पर पूरा तक़सीम न हो बल्कि उसमें और उनके अअ्दादे रुऊस में निस्बते तवाफ़ुक़ हो तो उनके अ़ददे रुऊस के वफ़्क़ को मन लायुरद्दु अ़लैहि के मख़रज मसअ्ला में ज़र्ब दी जायेगी और हासिल को मख़रज मसअ्ला क़रार दिया जायेगा।

मिसाल.1 रद्द के साथ मसअ्ला.4

शौहर	बेटियाँ 6 (2)
$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{6}$

तौज़ीहः— यहाँ मन ला युरद्दु अ़लैहि में से शौहर है जिसका अक़ल्ले मख़रज 4 है लिहाज़ा मसअ्ला 4 से ही किया गया, और शौहर को एक दे दिया अब 3, छः पर पूरी तरह तक़सीम नहीं होता लिहाज़ा हमने 3 और 6 में निस्बत देखी तो वह तदाख़ुल की है जो हुक्म तवाफ़ुक़ में है, अब बेटियों के रुऊस का अ़ददे वफ़्क़ 2 है, 2 को शौहर के मख़रज मसअ्ला 4 से ज़र्ब दी तो हासिल 8 आया,

फिर इसी दो को शौहर के हिस्से में ज़र्ब दी तो हासिल 2 आया और बेटियों के हिस्से में जर्ब दी तो हासिल 6 आया और हर लड़की को एक एक मिला।

मसअला.7:– अगर मन लायुरद्दु अलैहि के देने के बाद बाकीमान्दा (बचा हुआ) में और मंयुरद्दु अलैहि के रुऊस में निस्बते तबायुन हो तो कुल अददे रुऊस को मन लायुरद्दु अलैहि के मख़रजे मसअला में ज़र्ब दी जायेगी और हासिल ज़र्ब मख़रजे मसअला होगा।

मिसाल. मसअला. 4, 20ع

शौहर	बेटियाँ.5
1/5	3/15

तौज़ीह:– शौहर का हिस्सा अदा करने के बाद 3 और 5 में तबायुन है लिहाज़ा 5 को 4 में ज़र्ब दिया तो हासिल बीस आया जो मख़रज मसअला बनाया गया है फिर इस 5 को हर फ़रीक़ के हिस्से से ज़र्ब देदी।

मसअला.8:– मसाइले रद्द में चौथी क़िस्म यह है कि मन लायुरद्दु अलैहि के साथ मंयुरद्दु अलैहि की दो जिन्सें हों तो इसका तरीक़ा यह है कि मन लायुरद्दु से बाक़ीमान्दा को मसअला मंयुरद्दु अलैहि पर तक़सीम किया जाये अगर पूरा तक़सीम होजाये तो ज़र्ब की ज़रूरत नहीं और इसकी एक ही सूरत है और वह यह कि बीवी को चौथाई मिलता हो और बाक़ी मंयुरद्दु अलैहि पर असलासन (यानी तीन हिस्सों में) तक़सीम हो रहा हो।

मिसाल. रद्द के साथ मसअला. 4, 48

बीवी	दादियाँ.4	माँ शरीक बहनें .6
1/12	1/12	2/24

तौज़ीह:– यहाँ बीवी को चौथाई दिया गया है और मसअला 4 से किया गया है और मंयुरद्दु का मसअला अलग किया गया है वह इस तरह कि अगर सिर्फ़ दादियाँ और माँ शरीक बहनें होतीं तो मसअला बिर्रद 3 होता जिनमें से 2 बहनों को और एक दादी को मिलता। अब मंयुरद्दु अलैहि का मसअला 3 से है और मन लायुरद्दु अलैहि का हिस्सा देकर 3 बचते हैं लिहाज़ा अब ज़र्ब की ज़रूरत नहीं लेकिन दादियों पर एक पूरा तक़सीम नहीं होता जब कि बहनों पर 2 पूरे तक़सीम नहीं होते, दादियों के सिहाम और अअ्दादे रुऊस में तबायुन है लिहाज़ा उनको अपने हाल पर रखा गया जब कि बहनों के सिहाम और अअ्दादे रुऊस में तवाफ़ुक़ है लिहाज़ा बहनों का अददे वफ़्क़ निकाला गया जो 3 है अब हमारे पास यह अअ्दादे रुऊस हैं 1, 4, 3, जो सब मुतबाइन हैं लिहाज़ा हमने बहनों के अअ्दादे रुऊस के वफ़्क़ का दादियों के कुल अअ्दादे रुऊस में ज़र्ब दिया तो हासिल 12 आया। फिर उस हासिल को मन लायुरद्दु अलैहि के मसअ्ला 4 से ज़र्ब दी तो हासिल अड़तालीस आया फिर उसी बारह से हर फ़रीक़ के हिस्से को ज़र्ब दी तो जो हासिल आया वह हर एक फ़रीक़ का हिस्सा है जैसा कि आप मिसाल में देख रहें हैं।

मसअला.9:– अगर मन लायुरद्दु अलैहि का हिस्सा देने के बाद बाक़ीमान्दा (बचे हुए) मंयुरद्दु अलैहि के मख़रज मसअ्ला पर पूरा तक़सीम न हो तो उसका तरीक़ा यह है कि मंयुरद्दु अलैहि के कुल मसअ्ला को मन लायुरद्दु अलैहि के मसअ्ला में ज़र्ब दें अब जो हासिल होगा वह दोनों फ़रीक़ों का मख़रज मसअ्ला होगा।

मिसाल. बिर्रद मसअला.8×5/40×36/1440 अल'मज़रूब 5ع अल'मज़रूब 36ع

बीवियाँ 4	बेटियाँ 9	दादियाँ 6
1/5	4/28	1/7
180/45	1008/112	252/42
लिकुल्लि वाहिदिन	लिकुल्लि वाहिदिन	लिकुल्लि वाहिदिन (हर एक के लिये)

तौज़ीह़:– उसूली तौर पर यह मसअ्ला 24 से होना था क्योंकि आठवाँ दो तिहाई और छठे के साथ आ रहा है, लेकिन हिस्से बचते थे इस लिये मसअ्ला रद का होगया तो पहले बीवियों को उनके अक़ल्ले मख़ारिज 8 से हिस्सा दिया फिर मंयुरद्दु अ़लैहि का मसअ्ला अलग हल करके देखा तो वह 5 हो रहा है जिस में से 4 बेटियों के हिस्से में आ रहे हैं और एक दादी के, अब बीवियों का हिस्सा निकालने के बाद 7 बचे जो 5 पर पूरे तक़सीम नहीं होते, अब मन लायुरद्दु अ़लैहि के बाक़ीमान्दा 7 और मसअ्ला मंयुरद्दु अ़लैहि 5 में तबायुन होने की वजह से मसअ्ला मनयुरद्दु अ़लैहि 5 को कुल मसअ्ला मन ला युरद्दु अ़लैहि में ज़र्ब दी तो हासिल चालीस आया जो फ़रीक़ैन का मख़रज मसअ्ला है अब उनमें से हर फ़रीक़ का हिस्सा मअ्लूम करना हो तो उसका त़रीक़ा यह है कि मन लायुरद्दु अ़लैहि के सिहाम को मसअ्ला मन लायुरद्दु अ़लैहि में ज़र्ब दें जैसे यहाँ एक को 5 से ज़र्ब दी तो ह़ासिल 5 आया यह मन लायुरद्दु अ़लैहि का हिस्सा है और मन युरद्दु अ़लैहि में से हर फ़रीक़ के हिस्से को मसअ्ला मन लायुरद्दु अ़लैहि के बाक़ीमान्दा से ज़र्ब दी जायेगी तो बेटियों को 4 मिले थे उन्हें जब 7 में ज़र्ब दी गई तो हासिल 28 आया जो बेटियों का मजमूई हिस्सा है, और दादियों के हिस्से को जब सात में ज़र्ब दी तो 7 आया यह दादियों का मजमूई हिस्सा है अब अगर हर फ़रीक़ या बाज़ के हिस्से उनके रुऊस पर पूरी त़रह़ तक़सीम न होते हों तो वही अ़मल दोहराया जायेगा जो तसहीह़ के बाब में हम बयान कर आये हैं, मसलन उसी मसअ्ला में बीवियों की तअ्दाद 4 और उनके हिस्से 5 जिनमें तबायुन है इस लिये उन अअ्दाद को यूंही रखा गया। बेटियाँ 9 हैं और उनके हिस्से 28 उनमें भी तबायुन की निस्बत है लिहाज़ा यह भी अपनी जगह रहे और यही ह़ाल दादियों का है अब सिर्फ़ रुऊस के दरम्यान निस्बत तलाश की तो दादियाँ 6 और बीवियाँ 4 हैं। उन में तवाफ़ुक़ बिन्निस्फ़ है लिहाज़ा हमने 4 के निस्फ़ 2 को 6 में ज़र्ब दी तो हासिल 12 आया। और यह अ़दद बेटियों की तअ्दाद 9 से तवाफ़ुक़ बिस्सुलुस् की निस्बत रखता है लिहाज़ा 12 के सुलुस् 4 को 9 में ज़र्ब दी तो ह़ासिल 36 आया उस को 40 में ज़र्ब दी तो ह़ासिल एक हज़ार चार सौ चालीस आया। फिर उसी मज़रूब से हर फ़रीक़ के हिस्सों को ज़र्ब दी बीवियों के हिस्से 5 को 36 से ज़र्ब दी तो ह़ासिल एक सौ अस्सी आया, जब उसको 4 पर तक़सीम किया तो हर एक को 45 मिला। बेटियों के हिस्सा 28 को जब 36 से ज़र्ब दी तो ह़ासिल एक हज़ार आठ आया। उस को 9 पर तक़सीम किया हर लड़की को 112 मिला फिर दादियों के हिस्से 7 को 36 से ज़र्ब दी तो हासिल दो सौ बावन आया और उस को 6 पर तक़सीम किया तो हर एक का हिस्सा ब्यालीस निकला। (तबईनुलहक़ाइक़ जि.6 स.248)

मुनासख़ा का बयान

यह लफ़्ज़ नस्ख़ से निकला है जिसके मअ्ना बदलने के हैं और फ़राइज़ की इस्त़लाह़ में इससे मुराद यह है कि मय्यित के तर्का की तक़सीम से क़ब्ल ही अगर किसी वारिस् का इन्तिक़ाल हो जाये तो उसका हिस्सा उसके वारिसों की त़रफ़ मुन्तक़िल कर दिया जाये। (आलमगीरी जि.5 स.558)

मसअ्ला.1:– अगर दूसरी मय्यित के वुरसा बिऐनिही वही हैं जो पहली मय्यित के थे और तक़सीम में कोई फ़र्क़ वाक़ेअ् नहीं हुआ है तो एक ही मरतबा तक़सीम काफ़ी होगी क्योंकि तकरार बेकार है।

मिसाल

मसअ्ला.7	
बेटे.2	बेटियाँ.3
4	3

अब उन बेटियों में से अगर कोई मरजाये और उसका कोई वारिस् न हो सिवाए ह़क़ीक़ी भाई और बहनों के तो अब ज़ाहिर है कि उनके दरम्यान तर्का लिज़्ज़क्रे मिस्लु ह़ज़्ज़िलउनस्यैन للذكر مثل حظ الانثيين की बुनियाद पर तक़सीम किया जायेगा और इस त़रह़ उनके हिस्सों में तक़सीम के एअ्तिबार से कुछ फ़र्क़ न होगा लिहाज़ा बजाए इसके कि हम दोबारा अ़लाहि़दा मसअ्ला की तसहीह करें हमने शुरूअ् से माल इस त़रह़ तक़सीम किया कि मरने वाली बेटी को बिलकुल

हमे बड़ी मुसर्रत हो रही है कि अल्लाह त'आला और उसके हबीब सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम के हुक्म फ़ज़्ल-ओ-करम से और बुज़ुर्गाने दीन सिलसिला-ए-क़ादिरिया बिलख़ुसूस पिराने पीर दस्तगीर हुज़ूर ग़ौस-ए-आज़म शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रादिअल्लाहु त'आला अन्हू के फ़ैज़ से क़िताब बहार-ए-शरीअत **(हिस्सा 11 से 20)** हिंदी में पीडीएफ **[PDF]** में आप की खिदमत में पेश की जा रही है।

ज़माना-ए- क़दीम से अवमुन्नास की इस्लाहे हाल और हिदायते उख़रवी व दुनयवी के लिए हक़ सदाक़त के जाम की फ़राहमी की जाती रही है और ये इलतेज़ाम ख़ालिक़-ए-क़ायनात जल्ला जलालहु ने ब अहसान अपनी मख़लूक़ के लिए फ़रमाया है। अम्बिया व मुर्सलीन के बेहतरीन दौर के बाद उसने यह ख़िदमत अपने मुक़र्रबीन रिज़वानुल्लाह त'आला अलैहिम अजमईन के सुपुर्द की और यह सिलसिला अला हालही जारी व सारि है।

मज़हब-ए-इस्लाम अल्लाह त'आला का पसंदीदा दीन है । ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नही जिसके लिए इस्लाम ने हमे क़ानून न दिया हो ।

आज जिस दौर से हम गुज़र रहे है हमारा मुस्लिम तबका उर्दू की तरफ ध्यान नही दे रहा है और नई नस्ल तो बिल्कुल ही उर्दू से नावाक़िफ़ होती जा रही है । नतीजे के तौर पर दीनी और मज़हबी दिलचस्पियाँ कम हो रही है और हम अपने हाल को ग़ैर मुंज़बित तरीके पे छोड़े रहते है ।

लिहाज़ा ये किताब हिंदी में लिखी गई है और आप सब की आसानी के लिए हम ने इस किताब को पीडीएफ फ़ाइल में आप की ख़िदमत में पेश किया है।
आप सब से हमारी गुज़ारिश है कि अपनी मसरूफ ज़िन्दगी में से रोज़ाना वक़्त निकाल कर बुज़ुर्गो की तस्नीफ़ करदा किताबो को मुताला में रखें , इंशा अल्लाह त'आला दीन और दुनिया दोनो में मक़बूल होंगे।

साकित कर दिया। जैसे मिसाले साबिक़ को इस तरह हल करेंगे।

मिसाल: मसअ्ला. 6

बेटे.2	बेटियाँ.2
4	2

यानी अब बेटियाँ बजाए 3 के दो ही हैं और मरने वाली बेटी का तर्का अज़ खुद उसके भाईयों और बहनों पर मुन्क़सिम होगा।

मसअ्ला.2:– अगर दूसरी मय्यित के वुरसा पहली मय्यित के वुरसा से मुख़्तलिफ़ हैं तो इसकी तसहीह का तरीक़ा यह है कि पहले पहली मय्यित का तर्का बयान किये गये उसूलों के मुताबिक़ तक़सीम किया जाये फिर दूसरी मय्यित का तर्का भी ज़िक्र किये गये उसूलों की रौशनी में तक़सीम करें, अब मुनासख़ा का अमल शुरूअ् होगा और वह यह है कि दूसरी मय्यित के मसअ्ला की तसहीह और उसके माफ़िलयद (यानी जो हिस्सा उसको पहली मय्यित से मिला है) में तीन हालतों में से कोई हालत होगी (1)या उन दोनों में निस्बते तमासुल होगी (2)या तवाफ़ुक़ होगी।(3)या तबायुन होगी। अगर निस्बते तमासुल है तब तो ज़र्ब की ज़रूरत नहीं बल्कि पहली तसहीह ब'मन्ज़िला अस्ल मसअ्ला के हो जायेगी और दूसरी तसहीह के वुरसा गोया पहली तसहीह के वुरसा बन जायेंगे। इस तरह दोनों मय्यितों के वारिसों का मख़रज मसअ्ला एक ही रहेगा, और अगर निस्बते तवाफ़ुक़ हो तो तसहीहे सानी के अदद वफ़्क़ को पहली तसहीह के कुल में ज़र्ब दी जायेगी और अगर निस्बते तबायुन हो तो तसहीहे सानी को तसहीहे अव्वल में ज़र्ब दी जायेगी। अब जो हासिल आयेगा वह दोनों मसअ्लों का मख़रज होगा, फिर उन दोनों आख़िरी सूरतों में पहली तसहीह के वुरसा के हिस्सों को दूसरी तसहीह के कुल या वफ़्क़ में ज़र्ब दी जायेगी, जब कि दूसरी तसहीह के वुरसा को माफ़िलयद के कुल या वफ़्क़ में ज़र्ब दी जायेगी। (शरीफ़िया स.91,94)

मसअ्ला.3:– अगर माफ़िलयद और तसहीहे सानी में निस्बते तदाखुल हो तो छोटे अदद को किसी से ज़र्ब नहीं दी जायेगी बड़े अदद के वफ़्क़ से ज़र्ब दी जायेगी।

मसअ्ला.4:– अगर दूसरे के बाद तीसरा, चौथा (आगे तक) मरता रहे तो यही उसूल ज़ारी होंगे सिर्फ़ यह ख़याल रहे कि पहली और दूसरी तसहीह का मुबल्लिग़ पहले मसअ्ला की तस्हीह के क़ाइम मक़ाम होगा और तीसरा ब'मन्ज़िला दूसरी तसहीह के होगा, व अ़ला हाज़लक़्यास।

मिसाल.1: बिर्रद मसअ्ला. 4×4/16×2/32×4/128

शौहर	बेटी	माँ
हामिद	करीमा	अज़ीमा
1/4	3/9	1/3/6

2. मसअ्ला.4 तमासुल हामिद

बीवी	बाप	माँ
हलीमा	अम्र	रहीमा
1/2/8	2/4/16	1/2/8

3. मसअ्ला.2, 6 तवाफ़ुक़ बिस्सुलुस करीमा 3,9 (माफ़िल'यद)

बेटी	बेटा	बेटा	नानी
रुक़य्या	ख़ालिद	अब्दुल्लाह	अज़ीमा
2/3/12	2/6/24	2/6/24	1/3

4. मसअला.2, 4 तबायुन अज़ीमा.9 (माफ़िलयद)

शौहर		भाई		भाई
अ़ब्दुर्रहमान		अ़ब्दुर्रहीम	(1)	अ़ब्दुलकरीम
1		1		1
2		9		9
18				

अलअहया अलमब्लग 128

हलीमा	अम्र	रहीमा	रुक़य्या	ख़ालिद	अ़ब्दुल्लाह	अ़ब्दुर्रहमान	अ़ब्दुर्रहीम	अ़ब्दुलकरीम
8	16	8	12	24	24	18	9	9

तौज़ी में मुमास्लत (मेल) है इस लिये ज़र्ब की कोई ज़रूरत नहीं, और दोनों मसअ्लों का मख़रजः– इस्तिलाह में एक मय्यित के वुरसा को एक बत़न कहते हैं। अब यह मसअ्ला चार बतून पर मुश्तमिल है। बत़्ने अव्वल में मसअ्ला रद्द का है। 1/4 हिस्सा शौहर को, 1/2 बेटी को और 1/6 माँ को, ह़स्बे क़ायदा शौहर को अक़ल्ले मख़ारिज यानी 4 से हिस्सा दिया गया। फिर माँ और बेटी का मसअ्ला अलग किया तो 6 से हुआ, उसमें से निस्फ़ यानी 3 बेटी को और छठा यानी 1 माँ को दिया, अब उनके हिस्सों को ब मन्ज़िला रुऊस के क़रार दिया गया और उन की निस्बत शौहर का हिस्सा अलग करने के बाद बाक़ी मसअ्ला से की तो तबायुन की निस्बत निकली क्योंकि 3 और 4 में तबायुन है फिर चार को चार से ज़र्ब दी तो ह़ासिल 6 आया अब जिन पर रद्द किया जाता है उनके सिहाम को उन लोगों के सिहाम में ज़र्ब दिया जिन पर रद नहीं किया जाता है तो ह़ासिल चार आया और जिन पर रद्द किया जाता है उन के सिहाम को जिन लोगों पर रद्द नहीं किया जाता उनके बाक़ी में ज़र्ब दी यानी 3, तो बेटी को 9 मिले और माँ को 6 मिले, फिर शौहर का इन्तिक़ाल होगया और उसने अपनी दूसरी बीवी और बाप और माँ छोड़े, मसअ्ला चार से किया चौथाई बीवी को दिया और बाक़ीमान्दा का एक तिहाई माँ को दिया और बाक़ी 2 बत़ौर अ़सूबत (यानी असबा होने की वजह से) बाप को दिये, अब चूंकि मख़रज मसअ्ला सानी 4 और माफ़िलयद 4ज वही सोलह रहा जो पहले था। फिर करीमा का इन्तिक़ाल हुआ उसने, एक बेटी, दो बेटे और नानी छोड़ी, मसअ्ला 6 से हुआ एक बेटी को, एक दादी को मिला और दो दो हर बेटे के हिस्से में आये। अब माफ़िलयद 9 और मसअ्ला 6 में तवाफ़ुक़ बिस्सुलुस है तो छः के वफ़्क़ यानी 2 को पहले मसअ्ला से ज़र्ब दी तो ह़ासिल बत्तीस आया फिर उसी दो को बत़्ने नम्बर 2 के वुरसा के हिस्सों में ज़र्ब दी और माफ़िलयद के वफ़्क़ यानी 3 से बत़न न.3 के वुरसा के हिस्सों को ज़र्ब दी। अब अ़ज़ीमा का इन्तिक़ाल हुआ उसने शौहर और दो भाई छोड़े मसअ्ला 2 से हुआ जिनमें एक शौहर को मिला और चूंकि एक दो भाईयों पर पूरा मुन्क़सिम नहीं होता था इस लिए अ़ददे रुऊस को अस्ल मसअ्ला में ज़र्ब दी तो ह़ासिल 4 आया फिर उसी मज़रुब को हर एक के हिस्से में ज़र्ब दे दी अब माफ़िलयद 9 और मसअ्ला 4 में निस्बते तबायुन है लिहाज़ा 4 को 32 से ज़र्ब दी तो ह़ासिल एक सौ अठ्ठाईस आया फिर उस चार को ऊपर वाले बतून के वुरसा के हिस्सों से ज़र्ब दी और 9 को उसी मय्यित के वुरसा से ज़र्ब दी।

फ़ायदा :– यह ख़याल रहे कि ज़र्ब सिर्फ़ उन्हीं वुरसा के हिस्सा में दी जायेगी जो ज़िन्दा हों और जो मुर्दा होचुके हैं उनको एक मुरब्बअ़ ख़ाना में महसूर कर दिया जायेगा (यानी चौकोर ख़ाने में घेर दिया जायेगा) ताकि ज़र्ब देते वक़्त ग़ल्ती का इम्कान न रहे। मुनासख़ा में वुरसा के नाम ज़रूर लिखे जायें ख़्वाह फ़र्ज़ी क्यों न हों इस लिये कि जब उनमें से बाज़ वुरसा का इन्तिक़ाल होगा तो उन के बाहमी रिश्ते के तअ़य्युन में आसानी होगी नीज़ इख़्तितामे अ़मल पर लफ़्ज़े अल अहयाउलमुबलग़ लिखकर जो ज़िन्दा वारिस् हों उनके मजमूई हसस लिखे जायेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक ही शख़्स कई बतून से मुख़्तलिफ़ हिस्से पाता है मस्लन ख़ालिद ने बत़्ने अव्वल से 2 बत़्ने सानी से 4 बत़्ने सालिस से 6 हिस्से पाये तो अब अलअहया के नीचे उसका नाम लिख कर 12 लिखेंगे,इस तरह अ़मले मुनासख़ा तकमील को पहुँचेगा।

ज़विल अरहाम का बयान

मसअला.1:– अगर्चे ज़विल'अरहाम के मअ्ना मुतलक रिश्तेदारों के हैं लेकिन अस्हाबे फ़राइज़ की इस्तिलाह में इस से मुराद सिर्फ़ वह रिश्तेदार हैं जो न तो अस्हाबे फ़राइज़ में से हैं और न ही अस्बात में से हैं। (आलमगीरी स.854 जि.4 सिराजी स.43, शामी स.396 जि.5)

मसअला.2:– ज़विल अरहाम की चार अक्साम हैं (1)पहली क़िस्म में वह लोग हैं जो मय्यित की औलाद में हों। यह बेटियों या पोतियों की औलाद है, (2)दूसरी क़िस्म यह वह लोग हैं जिन की औलाद खुद मय्यित है यह जद्दे फ़ासिद या जद्दा–ए–फ़ासिदा है ख़्वाह उनकी तादाद कितनी ही क्यों न हो (3) तीसरी क़िस्म यह वह लोग हैं जो मय्यित के माँ बाप की औलाद में हो जैसे हक़ीक़ी भाईयों की बेटियाँ या अल्लाती (बाप शरीक) भाईयों की बेटियाँ और अख़्याफ़ी (माँ शरीक) भाईयों के बेटे, बेटियाँ और हर क़िस्म की बहनों की औलाद। (4)चौथी क़िस्म यह वह लोग हैं जो मय्यित के दादा दादी, नाना, नानी की औलाद में हों, जैसे बाप का माँ शरीक भाई और उसकी औलाद, फूफियाँ और उनकी औलाद, मामूँ और उनकी औलाद ख़ालायें और उनकी औलाद और माँ बाप दोनों या बाप की तरफ़ से चचाओं की बेटियाँ, या उनकी औलाद। (आलमगीरी स.954 जि.6)

मसअला.3:– इनमें तर्तीब यही है कि पहली क़िस्म के होते हुए दूसरी क़िस्म के ज़विल अरहाम वारिस् न होंगे और दूसरी क़िस्म के होते हुए तीसरी क़िस्म के वारिस् न होंगे तीसरी क़िस्म के होते हुए चौथी क़िस्म के वारिस् न होंगे।(आलमगीरी स.954 जि.6 व काफ़ी ब'हवाला आलमगीरी शामी स.396 जि.5)

मसअला.4:– ज़विल अरहाम उसी वक़्त वारिस् होंगे जब कि अस्हाबे फ़राइज़ में से वह लोग मौजूद न हों जिन पर माल दोबारा रद किया जा सकता हो और अस्बा भी न हो(आलमगीरी स.954 जि.6)

मसअला.5:– इस पर इजमाअ् है कि ज़ौजैन की वजह से ज़विल अरहाम महजूब न होंगे यानी ज़ौजैन का हिस्सा लेने के बाद ज़विल अरहाम पर तक़सीम किया जायेगा। (आलमगीरी स.954 जि.6)

मसअला.6:– पहली क़िस्म के ज़विल अरहाम में मीरास् का ज़्यादा मुस्तहक़ वह है जो मय्यित से अक़रब हो जैसे नवासी, पर'पोती से ज़्यादा मुस्तहक़ है। (आलमगीरी स.954 जि.6)

मसअला.7:– अगर कुर्बे दर्जा (सब का मक़ाम बराबर है) में सब बराबर हैं तो उनमें से जो वारिस् की औलाद है वह ज़्यादा मुस्तहक़ है ख़्वाह वह अस्बा की औलाद हो या साहिबे फ़र्ज़ की हो जैसे पर'पोती नवासी के बेटे से ज़्यादा मुस्तहक़ है और पोती का बेटा नवासी के बेटे से ज़्यादा मुस्तहक़ है। (काफ़ी ब'हवाला आलमगीरी स.954 जि.6 शामी स.396 जि.5)

मसअला.8:– अगर कुर्ब में सब बराबर हों और उनमें वारिस् की औलाद कोई न हो या सब वारिसों की औलाद हों तो माल सब में बराबर तक़सीम किया जायेगा जब कि तमाम ज़विलअरहाम मर्द हों या तमाम औरत हों और अगर कुछ मर्द हों और कुछ औरतें हों तो للذكر مثل حظ الانثيين के मुताबिक़ तक़सीम होगा। इस हुक्म पर हमारे अइम्मा का इत्तिफ़ाक़ है जब कि इन ज़विलअरहाम के आबा व उम्महाते ज़कूरा व अनूसत की सिफ़त में मुत्तफ़िक़ हों।

मसअला.9:– अगर उसूल की सिफ़ात ज़कूरत व अनूसत (यानी मर्द व औरत होने) के एअ्तिबार से मुख़्तलिफ़ हों तो इमाम अबूयूसुफ़ रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के नज़्दीक अबदाने फ़ुरूअ् का एअ्तिबार होगा और माल उनके दरम्यान बराबर तक़सीम होगा। बशर्ते कि वह सब मर्द हों या सब औरतें हों और अगर मिले जुले हों तो लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िलउन्सयैन के मुताबिक़ तक़सीम होगा।

मिसाल1: मसअला 3

नवासा	नवासी
2	1

तौज़ीह:– अब चूंकि यहाँ सिफ़ते उसूल मुत्तफ़िक़ है यानी दोनों बेटी की औलाद हैं तो माल की तक़सीम ब'एअ्तिबारे अबदान होगी यानी नवासा मर्द होने की वजह से ब'मन्ज़िला दो औरतों के है गोया कुल 3 वारिस् हुए तो माल के तीन हिस्से कर लिये गये। दो हिस्से नवासे को और एक हिस्सा नवासी को दे दिया गया। (आलमगीरी स.459 जि.6 शामी स.694 जि.5)

मिसाल.2 मसअला

नवासी के बेटे का बेटा (इब्ने इब्न बिन्ते बिन्त)	नवासी की बेटी की बेटी (बिन्ते बिन्ते बिन्ते बिन्त)
2	1

तौज़ीह:– अब चूंकि उसूल दोनों के मुत्तफ़िक़ हैं यानी मुअन्नस हैं तो अब माल वारिसों के अबदान के एअ़तिबार से तक़सीम होगा यानी मर्द को दोगुना और औरत को इकहरा (यानी एक हिस्सा) मिलेगा।

मिसाल : 3 मसअ्ला. 2

नवासी की बेटी (बिन्ते बिन्ते बिन्त)	नवासा की बेटी (बिन्त इब्ने बिन्त)
1	1

तौज़ीह:– इस सूरत में इमाम अबूयूसुफ़ रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैहि के नज़्दीक अबदान का एअ़तिबार करते हुए माल उनके दरम्यान आधा–आधा तक़सीम कर दिया जायेगा।

मिसाल: 4 मसअ्ला 4

नवासा की बेटी नफ़र 2	नवासी का बेटा एक नफ़र
2	2

तौज़ीह:– इस सूरत में इमाम अबूयूसुफ़ रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैहि के नज़्दीक वारिसों के का एअ़तिबार करके नवासी के बेटे को नवासे की दोनों बेटियों के बराबर क़रार देकर, दो नवासी के बेटे को और एक एक नवासे की दोनों बेटियों को दिया जायेगा। (आलमगीरी स.459 जि.6)

फ़ायदा:– ज़विल अरहाम के बारे में इमाम असबीजाबी ने मब्सूत में फ़रमाया कि अबूयूसुफ़ का क़ौल असह (ज़्यादा सहीह) है क्योंकि वह सहल'तर (आसान) है। साहिबे मुहीत का बयान है कि बुख़ारा के मशाइख़ ने इन मसाइल में अबू यूसुफ़ के क़ौल पर ही फ़तवा दिया है।(काफ़ी ब'हवाला आलमगीरी) इस लिये उस किताब में अबू यूसुफ़ का क़ौल ही इख़्तियार किया गया है।

ज़विल अरहाम की दूसरी क़िस्म

मसअ्ला.1:– ज़विल अरहाम की दूसरी क़िस्म वह लोग हैं जिनकी औलाद में मय्यित खुद है जैसे फ़ासिद दादा और दादी उनमें मीरास् का मुस्तहक़ वही होगा जो मय्यित से ज़्यादा क़रीब होगा ख़्वाह वह बाप की जानिब का हो या माँ की जानिब का और क़रीब वाले के होते हुए दूर वाला महरूम रहेगा ख़्वाह यह क़रीब वाला मुअन्नस हो और बईद वाला मुज़क्कर हो। (तहतावी स.399 जि.4)

मिसाल: मसअ्ला

नाना	नानी का बाप	दादी का बाप
1	म	म

चूंकि उन तीनों में नाना मय्यित के ज़्यादा क़रीब है इस लिये कुल माल नाना ही को मिलेगा और बाक़ी दोनों महरूम होंगे।

मसअ्ला.2:– अगर यह लोग रिश्तेदारी के क़ुर्ब के एअ़तिबार से बराबर हों तो उनकी छः सूरतें हैं।

(1)उनमें से बाज़ की निस्बत मय्यित की जानिब वारिस् के वास्ते से हो और बाज़ की निस्बत वारिस् के वास्ते से न हो जैसे अब उम्मुलउम यानी नानी का बाप। अब अबुल उम यानी नानाका बाप।

तौज़ीह:– उनमें नानी के बाप की रिश्तेदारी नाना के वास्ते से है वह खुद ज़विलफ़ुरूज़ में से नहीं है बल्कि ज़विलअरहाम में है लेकिन नानी का बाप और नाना का बाप दर्जा में बराबर हैं इस लिए मज़हबे सहीह पर दोनों वारिस् होंगे और वारिस् के ज़रीआ़ से रिश्तेदारी सबबे तरजीह न होगी(शामी)

(2)उन सब की निस्बत मय्यित की तरफ़ वारिस् के वास्ते से हो जैसे अब उम्मे अब यानी दादी का बाप और जैसे अब उम्मे उम्म यानी नानी का बाप।

तौज़ीह:– दादी के बाप की रिश्तेदारी दादी के ज़रीआ़ से है और दादी ज़विलफ़ुरूज़ में है उसी तरह नानी के बाप की रिश्तेदारी नानी के ज़रीआ़ से है वह भी ज़विलफ़ुरूज़ में से है तो दोनों वारिस् होंगे।

(3)उनमें से किसी की निस्बत मय्यित की तरफ़ वारिस् के वास्ते से न हो। जैसे अब अबे उम यानी नाना का बाप व उम्म अबे उम यानी नाना की माँ।

तौज़ीह:– नाना के बाप की रिश्तेदारी नाना के वास्ते से है और नाना ज़विलअरहाम में है यही रिश्ता नाना की माँ का भी है लिहाज़ा दोनों की रिश्तेदारी वारिस् के वास्ते से नहीं है तो दोनों वारिस् हो जायेंगे।

(4)उन सब की मय्यित से रिश्तेदारी मय्यित के बाप की तरफ़ से हो जैसे अब अबे यानी दादी का दादा और उम्म अबे उम्मुल अब यानी दादी की दादी।

(5)उन सब की मय्यित से रिश्तेदारी मय्यित की माँ की जानिब से हो जैसे अब अबिलउम नाना का बाप और जैसे उम्म अबे उम्म नाना की माँ।

(6)उनमें से बाज़ की रिश्तेदारी मय्यित के बाप की जानिब से और बाज़ की रिश्तेदारी माँ की जानिब से हो जैसे अब उम्मुलअब यानी दादी का बाप और अब उम्मुलउम नानी का बाप।

मसअ्ला.3:– जब दर्जा में मसावी ज़विल अरहाम की मय्यित से क़राबत में इत्तिहाद हो मसलन सब मय्यित के बाप की जानिब के रिश्तेदार हों जैसा चौथी सूरत में है या सब की क़राबत मय्यित की माँ की जानिब से हो जैसे पाँचवीं सूरत में है। और जिसके ज़रीआ से क़राबत है वह मुज़क्कर व मुअन्नस होने में भी यकसाँ है तो यह ज़विल'अरहाम भी अगर ख़ुद सब मुज़क्कर हों या सब मुअन्नस हों तो सब को बराबर हिस्सा मिलेगा और अगर बाज़ मुज़क्कर हैं और बाज़ मुअन्नस तो लिज़्ज़िक्रे मिस्लु हज़्ज़िलउनसयैन हिस्सा होगा। और अगर जिनके ज़रीआ से निस्बत थी उनके मुज़क्कर व मुअन्नस होने में इख़्तिलाफ़ हो तो सबसे पहली जगह जहाँ इख़्तिलाफ़ हुआ था वहाँ मुज़क्करों को दो हिस्से और मुअन्नसों को एक हिस्सा दिया जायेगा। (तहतावी स.399 जि.4 शामी स.695 जि.5 शरीफ़िया स.109) फिर मुज़क्करों के हिस्से को उनके वारिसों में उस तरह तक़सीम किया जायेगा कि सब मुज़क्कर हों या सब मुअन्नस तो उनके अबदान पर बराबर–बराबर तक़सीम कर दिया जायेगा और अगर कुछ मुज़क्कर हैं और कुछ मुअन्नस तो للذكر مثل حظ الانثيين, इसी तरह मुअन्नसों के हिस्से उन के वारिसों में तक़सीम किये जायेंगे।

चौथी सूरत की यह तीन मिसालें हैं।

नम्बर.1		नम्बर.2		नम्बर.3	
अब अब उम्मुल'अब=अब,	उम्म उम्मुल'अब	उम्म अब उम्मुल'अब=उम्म	उम्मु उम्मुल'अब	अब अब उम्मुल अब=उम्म	अब उम्मुल'अब
यानी दादी का दादा	यानी दादी का नाना	यानी दादी की दादी	यानी दादी की नानी	यानी दादी का दादा	यानी दादी की दादी

तौज़ीहे मिसाल.1:– इस में दादी के दादा और दादी के नाना दोनों की रिश्तेदारी बाप की जानिब से है और दर्जा में भी दोनों बराबर हैं और दोनों मुज़क्कर हैं लेकिन दादी के दादा की क़राबत दादी के बाप की वजह से है और वह मुज़क्कर है और दादी के नाना की क़राबत दादी की माँ की वजह से है और वह मुअन्नस है लिहाज़ा माल के तीन हिस्से करके दादी के दादा को दो हिस्से और दादी के नाना को एक हिस्सा मिलेगा।

तौज़ीह मिसाल.2:– उसमें दादी की नानी और दादी की दादी दोनों की रिश्तेदारी बाप की जानिब से है और दर्जा में दोनों बराबर हैं और दोनों मुअन्नस हैं लेकिन दादी की दादी की निस्बत मय्यित की जानिब दादी के बाप के ज़रीआ से है और वह मुज़क्कर है और दादी की नानी की निस्बत दादी की माँ के ज़रीआ से है और वह मुअन्नस है लिहाज़ा माल के तीन हिस्से करके दो हिस्से दादी के दादा को और एक हिस्सा दादी की नानी को मिलेगा।

तौज़ीहे मिसाल.3:– दादी का दादा और दादी की दादी दोनों की रिश्तेदारी तो बाप की जानिब से है और दर्जा में भी बराबर हैं और जिसके ज़रीआ से क़राबत है वह भी दोनों जगह मुज़क्कर है मगर यह मुज़क्कर व मुअन्नस होने में मुख़्तलिफ़ हैं लिहाज़ा माल के तीन हिस्से करके दो दादी के दादा को और एक हिस्सा दादी की दादी को दिया जायेगा।

पाँचवीं सूरत की यह तीन मिसालें हैं।

नम्बर.1		नम्बर.2	
अब अब अबुलउम्म	अब अब उम्मुल'उम्म	उम्म अब अबुल'उम्म	उम्म उम्म अबुल'उम
नाना का दादा	नानी का दादा	नानी की दादी	नानी की नानी

नम्बर 3.	
अब अबुल'उम्म	उम्म अबु उम्म
नाना का बाप	नानी की माँ

तौज़ीहे मिसाल.1:– नाना के दादा और नानी का दादा दोनों की रिश्तेदारी माँ की तरफ़ से है और दर्जा में दोनों बराबर हैं और दोनों मुज़क्कर हैं लेकिन ज़रीआ क़राबत में इख़्तिलाफ़ है और यह इख़्तिलाफ़ माँ के ऊपर नानी और नाना में हुआ लिहाज़ा वही माल इस तरह तक़सीम किया जायेगा कि नाना को दो हिस्से मिलेगा फिर नाना का हिस्सा उसके दादा को और नानी का हिस्सा उसके

दादा को दिया जायेगा।

तौज़ीहे मिसाल.2:– नाना की दादी और नाना की नानी दोनों की रिश्तेदारी माँ की जानिब से है और दोनों दर्जा में बराबर हैं और दोनों मुअन्नस् हैं लेकिन ज़रीआ क़राबत में इख़्तिलाफ़ है और यह इख़्तिलाफ़ नाना के ऊपर से शुरूअ़ हुआ नाना की दादी की क़राबत नाना के बाप की वजह से है और नाना के नानी की क़राबत नाना की माँ की वज़ह से है लिहाज़ा नाना की माँ और बाप में पहले माल इस तरह तक़सीम किया जायेगा कि नाना के बाप को दो हिस्से और नाना की माँ को एक हिस्सा दिया जायेगा फिर नाना के बाप का हिस्सा उसकी माँ को नाना की माँ का हिस्सा उस की माँ को देदिया जायेगा।

तौज़ीह मिसाल.3:– नाना का बाप और नानी की माँ दोनों की रिश्तेदारी माँ की जानिब से है और दोनों दर्जा में बराबर हैं मगर मुअन्नस् व मुज़क्कर में मुख़्तलिफ़ हैं लिहाज़ा कोई और वारिस् न होने की सूरत में माल के तीन हिस्से करके नाना के बाप को दो हिस्से और एक हिस्सा नानी की माँ को मिलेगा।

ज़विल अरहाम की तीसरी क़िस्म

मय्यित के भाई बहनों की वह औलादें हैं जो अ़स्बात व ज़विल फ़ुरूज़ में नहीं हैं मस्लन हर क़िस्म के भाईयों यानी ऐनी (हक़ीक़ी बहन भाई) अ़ल्लाती (ऐसे बहन भाई जिनका बाप एक और मायें मुख़्तलिफ़ हों) अख़्याफ़ी (ऐसे भाई बहन जिनकी माँ एक और बाप मुख़्तलिफ़ हों) भाईयों की बेटियाँ और हर क़िस्म की बहनों के बेटे बेटियाँ और अख़याफ़ी भाईयों के बेटे।

मसअला.1:– उन ज़विलअरहाम में अगर दर्जा में तफ़ावुत हो तो जो ज़्यादा क़रीब होगा अगर्चे मुअन्नस् हो वह वारिस् होगा बईद वाला वारिस् नहीं होगा। (शामी स.695 जि.5 आलमगीरी स.461 जि.6)

मिसाल : मसअला

बिन्तुल उख़्त	इब्नु बिन्तुल अख़
बहन की लड़की	भतीजी का लड़का
1	म.

तौज़ीह:– चूंकि भान्जी और भतीजी का लड़का दोनों ज़विल अरहाम की तीसरी क़िस्म में हैं भान्जी क़रीब है इस लिये जब ज़विल अरहाम की क़िस्मे अव्वल और सानी न हो तो क़िस्मे सालिस् में भान्जी वारिस् हो जायेगी भतीजी का बेटा वारिस् नहीं होगा।

मसअला.2:– और अगर दर्जा में सब बराबर हों तो तीन सूरतें होंगी या तो सब वारिस् की औलाद होंगे या कोई वारिस् की औलाद न होगा या बाज़ वारिस् की औलाद होंगे और बाज़ वारिस् की औलाद न होंगे तो अगर बाज़ वारिस् की औलाद हों और बाज़ वारिस् की औलाद न हों तो वारिस् की औलाद मुक़द्दम होगी ग़ैर वारिस् की औलाद पर। (आलमगीरी स.461 शरीफ़िया तहतावी स.399 जि.5)

मिसाल: मसअला मय्यित

बिन्तु इब्ने अख़	इब्ने बिन्ते उख़्त
भतीजे की बेटी	भान्जी का बेटा
1	महरूम

तौज़ीह:– भतीजे की बेटी और भान्जी का बेटा दर्जा में दोनों बराबर हैं मगर भतीजा ख़ुद अ़सबा है और भान्जी ज़विलअरहाम में है इस लिये भतीजे की बेटी वारिस् की औलाद होने की वजह से वारिस् होगी और भान्जी का बेटा वारिस् नहीं होगा। ख़्वाह यह बहन भाई जिनकी औलादें यह हैं हक़ीक़ी हों या अ़ल्लाती हों या एक अ़ल्लाती और एक ऐनी हो तीनों सूरतों का यही हुक्म है।(शामी)

मसअला.3:– अगर तीसरी क़िस्म के ज़विल अरहाम सब वारिस् की औलाद हैं तो उसकी भी तीन सूरतें हैं (1)सब अ़सबा की औलाद हों (2)सब ज़विलफ़ुरूज़ की औलाद हों (3)बाज़ अ़सबा की औलाद हों और बाज़ ज़विलफ़ुरूज़ की।

मिसाल.1 बिन्त इब्ने अख़ हक़ीक़ी (सगे भाई की पोती) बिन्त इब्ने अख़े हक़ीक़ी। बिन्त इब्ने अख़े अ़ल्लाती बिन्त इब्ने अख़े अ़ल्लाती (बाप शरीक भाई की पोती)।

मिसाल.2 बिन्ते उख़्ते ऐनी बिन्ते उख़्ते ऐनी (सगी भान्जी) बिन्ते उख़्ते अ़ल्लाती बिन्ते उख़्ते अ़ल्लाती (बाप शरीक बहन की बेटी)

मिसाल.3 बिन्ते अख़े ऐनी, (सगी भतीजी) बिन्ते अख़े अख़्याफ़ी (माँ शरीक भाई की बेटी) बिन्ते अख़े अ़ल्लाती (बाप शरीक भाई की बेटी) और बिन्ते अख़े अख़्याफ़ी।

मसअ्ला.4:– ज़विल अरहाम की तीसरी क़िस्म में जब कोई अ़सबा और ज़विलफ़ुरूज़ की औलाद न हो जैसे बिन्ते बिन्ते अख़ (भाई की नवासी) और जैसे इब्ने बिन्ते अख़ (भाई का नवासा) मसअ्ला 2 और 3 की तमाम सूरतों में जब ज़विलअरहाम दर्जा में मसावात के साथ क़ुव्वत और ज़ोअ्फ़ में भी बराबर हों और मुज़क्कर व मुअन्नस् होने में भी यकसाँ हों तो सबको बराबर हिस्सा मिलेगा और अगर मुज़क्कर व मुअन्नस् होने में मुख़्तलिफ़ हों तो लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िलउनसयैन मिलेगा और अगर क़ुव्वत व ज़ोअ्फ़ में मुख़्तलिफ़ होंगे तो इमाम अबू यूसुफ़ के क़ौल पर जिसको ज़विलअरहाम के बारे में हमने लिया है जो रिश्ते में क़वी होगा वह औला होगा उस से जो रिश्ते में ज़ईफ़ है, यानी हक़ीक़ी भाई की औलादें अ़ल्लाती भाई की औलादों के मुक़ाबले में अदना होंगी और अ़ल्लाती भाई की औलादें अख़्याफ़ी भाई की औलाद से औला होंगी। (शामी स.695 जि.5 आलमगीरी स.461 जि.8)

मसअ्ला.5:– अगर ज़विल अरहाम की तीसरी क़िस्म में अख़्याफ़ी भाई बहनों की औलादें हों और उनसे मुक़द्दम कोई मुस्तहिक़ वारिस् न हो तो मुज़क्कर व मुअन्नस् को बराबर–बराबर हिस्सा मिलेगा उसमें मुज़क्कर को मुअन्नस पर कोई फ़ज़ीलत नहीं होगी। (आलमगीरी जि.6 स.461)

ज़विल अरहाम की चौथी क़िस्म का बयान

मसअ्ला.1:– चौथी क़िस्म के ज़विल अरहाम में वह रिश्तेदार हैं जो मय्यित के दादा, दादी, नाना, नानी, की औलाद में हों जैसे मामूँ, ख़ाला, फूफी, और बाप के माँ शरीक बहन, भाई उसी तरह उन की औलादें और चचा की मुअन्नस् औलादें। (आलमगीरी स.459 जि.6 शरीफ़िया स.115)

मसअ्ला.2:– अगर चौथी क़िस्म में का सिर्फ़ एक ही ज़ू'रहम हो और पहली तीनों क़िस्मों में से कोई न हो तो कुल माल उसी को मिल जायेगा। (आलमगीरी स.462 जि.6 शरीफ़िया स.115)

मसअ्ला.3:– उनकी औलादों में जो मय्यित से ज़्यादा क़रीब होगा वह वारिस् होगा बईद वाला वारिस् नहीं होगा यह क़रीब ख़्वाह बाप की जानिब का हो या माँ की जानिब का और ख़्वाह मुज़क्कर हो या मुअन्नस्। (आलमगीरी स.463 जि.6 शरीफ़िया 117)

मिसालः 1 मसअ्ला मय्यित

बिन्तुल'अम्मति यानी फूफी की बेटी	बिन्तु बिन्तिल'अम्मति यानी फूफी की बेटी की बेटी
1	महरूम

मिसालः 2 मसअ्ला मय्यित

बिन्तुल अ़म्मति यानी फूफी की बेटी	इब्नु बिन्ति'लअम्मति यानी फूफी की बेटी का बेटा
1	महरूम

मिसालः 3 मसअ्ला मय्यित

बिन्तुलख़ाला ख़ाला की बेटी	बिन्तु बिन्तिल'ख़ाला ख़ाला की बेटी की बेटी
1	महरूम

मिसालः 4 मसअ्ला मय्यित

बिन्तुल ख़ालति ख़ाला की बेटी	इब्नु बिन्तिल ख़ालाति ख़ाला की बेटी का बेटा
1	महरूम

मिसालः 5 मसअ्ला मय्यित

बिन्तुल'अम्मति फूफी की बेटी	बिन्तु बिन्तिल'ख़ालति ख़ाला की बेटी की बेटी
1	महरूम

मिसालः 6 मसअ्ला मय्यित

बिन्तुल ख़ाला ख़ाला की लड़की	इब्ने बिन्तिलअम्मति फूफी की लड़की का लडका
1	महरूम

मुन्दरिजा बाला मिसालों में जो क़रीब था वह वारिस् हुआ और बईद वाला वारिस् न हुआ।

मसअ्ला.4:– इन ज़विल'अरहाम में दर्जा में मसावी चन्द मौजूद हों ख़्वाह सब बाप की जानिब के हों या सब माँ की जानिब के हों या कुछ बाप की जानिब के या कुछ माँ की जानिब के तो उनमें

से जो वारिस् की औलाद होगा वह ज़विल'अरहाम की औलाद के मुकाबले में राजेह होगा यानी वारिस् की औलाद को तर्का मिलेगा और ज़ी'रहम की औलाद को नहीं मिलेगा। (मब्सूत स.30 जि.21)

मिसाल: 1 मसअला मय्यित

बिन्तुल'अम चचा की बेटी — 1
बिन्तुल अम्मति फूफी की बेटी — महरूम

मिसाल: 2 मसअला मय्यित

बिन्तुल'ख़ाल मामू की बेटी — 1
इब्नुल ख़ालति ख़ाला का बेटा — 2

मिसाल: 3 मसअला.3 मय्यित

बिन्तुल'अम चचा की बेटी — 1
इब्नुल'ख़ाल मामू का बेटा — महरूम

तौज़ीहे मिसाल.1:— चचा की बेटी और फूफी की बेटी दोनों रिश्ते में मसावी (बराबर) हैं और दोनों की क़राबत भी बाप की तरफ़ से है लेकिन चचा की बेटी असबा की औलाद है और फूफी की बेटी ज़विल'अरहाम की औलाद है इस लिये कुल माल चचा की बेटी की बेटी को मिलेगा और फूफी की बेटी महरूम होगी।

तौज़ीहे मिसाल.2:— मामूँ की बेटी और ख़ाला का बेटा दोनों रिश्ते में बराबर हैं और दोनों माँ की जानिब से हैं और उनमें वारिस् की औलाद कोई नहीं है इस लिये दोनों वारिस् होंगे तीन हिस्से करके दो हिस्से ख़ाला के बेटे को और एक हिस्सा मामूँ की बेटी को मिलेगा।

तौज़ीहे मिसाल.3:— चचा की बेटी और मामूँ का बेटा दोनों रिश्ते में तो बराबर हैं मगर चचा की बेटी की रिश्तेदारी बाप की जानिब से है और मामूँ के बेटे की रिश्तेदारी माँ की जानिब से है लेकिन चचा की बेटी असबा की औलाद है और मामूँ का बेटा ज़ी'रहम की औलाद है इस लिये चचा की बेटी को कुल माल मिल जायेगा और मामूँ का बेटा महरूम होगा।

मसअला.5:— अगर दर्जे में मसावी सिर्फ़ एक जानिब के ज़विल'अरहाम न हों और उनमें वारिस् की औलाद कोई न हो तो उनमें कुव्वते क़राबत भी वजहे तरजीह होगी यानी हक़ीक़ी रिश्तेदार अ़ल्लाती पर राजेह होगी और अ़ल्लाती अख़याफ़ी पर और अगर दोनों तरफ़ के ज़विल'अरहाम होंगे तो एक जानिब की कुव्वते क़राबत दूसरी जानिब पर असर अन्दाज़ नहीं होती बल्कि दो तिहाई हिस्सा बाप की तरफ़ वालों को और एक तिहाई माँ के तरफ़ वालों को मिलेगा और एक हैसियत के मसावी ज़विल'अरहाम में हर जगह उस उसूल पर भी अमल किया जायेगा लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उनस्यैन। (मबसूत स.21 जि.30)

मिसाल:1 मसअला 1. मय्यित

हक़ीक़ी फूफी का बेटा — 1
अ़ल्लाती फूफी का बेटा — महरूम
अख़्याफ़ी फूफी का बेटा — महरूम

तौज़ीहे मिसाल.1:— चूँकि तीनों फूफियों के बेटे क़राबत में (यानी रिश्तेदारी के तअल्लुक़ में) बराबर हैं मगर हक़ीक़ी फूफी के बेटे की क़राबत माँ और बाप दोनों जानिब से है इस लिये वह अ़ल्लाती और अख़्याफ़ी फूफियों के बेटों पर राजेह (तरजीह के लायक़) होगा और कुल माल उसको मिल जायेगा और वह दोनों महरूम हो जायेंगे।

मिसाल: 2 मसअला 1 मय्यित

अ़ल्लाती फूफी का बेटा — 1
अख़्याफ़ी फूफी का बेटा — महरूम

तौज़ीहे मिसाल.2:— दोनों फूफियों के बेटे दर्जा में बराबर हैं मगर अ़ल्लाती फूफी के बेटे की क़राबत बाप में शिरकत की वजह से है और अख़्याफ़ी फूफी के बेटे की क़राबत बाप की माँ की वजह से है बाप की क़राबत माँ की क़राबत से क़वी है। लिहाज़ा अ़ल्लाती फूफी का बेटा वारिस् होगा अख़्याफ़ी फूफी का बेटा वारिस् नहीं होगा।

मिसाल: 3. मसअला 1. मय्यित

हक़ीक़ी मामूँ का बेटा — 1
अ़ल्लाती मामूँ का बेटा — महरूम
अख़्याफ़ी मामूँ का बेटा — महरूम

तौज़ीह मिसाल.3:– तीनों मामूँ के बेटे दर्जा में बराबर हैं और सब की क़राबत माँ की वजह से है लेकिन हक़ीक़ी मामूँ के बेटे की रिश्तेदारी नाना, नानी दोनों की वजह से है और अल्लाती मामूँ के बेटे की क़राबत सिर्फ़ नाना से है और अख़्याफ़ी मामूँ के बेटे की क़राबत सिर्फ़ नानी की वजह से है लिहाज़ा हक़ीक़ी मामूँ का बेटा वारिस् होगा और दूसरे दोनों मामूँ के बेटे महरूम होंगे।

मिसाल: 4 मसअला 1. मय्यित

अल्लाती ख़ाला की बेटी — 1 | अख़्याफ़ी ख़ाला की बेटी — महरूम

तौज़ीह मिसाल.4:– अल्लाती अख़्याफ़ी दोनों ख़ालाओं की बेटियाँ दर्जे में मसावी हैं और दोनों की रिश्तेदारी माँ की जानिब से है लेकिन अल्लाती ख़ाला की बेटी रिश्तेदारी माँ के बाप यानी नाना की वजह से है और अख़्याफ़ी ख़ाला की बेटी की रिश्तेदारी माँ की माँ यानी नानी की वजह से है। बाप की रिश्तेदारी से क़वी (मजबूत) है लिहाज़ा कुल माल अल्लाती ख़ाला की बेटी को मिल जायेगा अख़्याफ़ी ख़ाला की बेटी महरूम होगी।

मिसाल: 5 मसअला 3. मय्यित

अल्लाती फूफ़ी का बेटा — 2 | हक़ीक़ी मामूँ का बेटा — 1

तौज़ीहे मिसाल.5:– अल्लाती फूफ़ी का बेटा और हक़ीक़ी मामूँ का बेटा दर्जा में दोनों बराबर हैं लेकिन जिहते क़राबत अलाहिदा अलाहिदा है (रिश्तेदारी का सिल्सिला अलग अलग है) फूफ़ी के बेटे की क़राबत बाप की जानिब से है और सिर्फ़ दादा की वजह से है और मामूँ के बेटे की क़राबत माँ की जानिब से है और उसकी क़राबत नाना, नानी दोनों की जानिब से है तो जिहते क़राबत मुख़्तलिफ़ होने की वजह से मामूँ के बेटे की कुव्वते क़राबत से फूफ़ी का बेटा ज़ोअ़फ़े क़राबत के बावजूद महरूम नहीं होगा।

मसअला.6:– जिहते क़राबत मुख़्तलिफ़ होने के बाद जैसा ऊपर बयान किया गया कुव्वते क़राबत वजहे तरजीह नहीं होती है बल्कि बाप की तरफ़ वाले ज़विल'अरहाम को दो हिस्से और माँ की तरफ़ वाले ज़विल'अरहाम को एक हिस्सा मिलता है फिर बाप की तरफ़ वाले रिश्तेदार एक फ़रीक़ बन जायेंगे और माँ की तरफ़ के रिश्तेदार एक फ़रीक़। उनमें आपस में कुव्वते क़राबत से तरजीह होगी। और हर फ़रीक़ में अगर सिर्फ़ मुज़क्कर या सिर्फ़ मुअन्नस् ज़विल'अरहाम हों तो उनको बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा और अगर मुख़्तलिफ़ हों तो लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िलउन्सयैन पर भी अमल होगा।

मिसाल:3 मसअला 3×3 त9 मय्यित

हक़ीक़ी फूफ़ी का बेटा — 4 | (2) हक़ीक़ी फूफ़ी की बेटी — 2 | हक़ीक़ी मामूँ का बेटा — 2 | (1) हक़ीक़ी ख़ाला की बेटी — 1

तौज़ीहे मिसाल.3:– फूफ़ी के बेटे और बेटी की रिश्तेदारी बाप की जानिब से है और मामूँ के बेटे और ख़ाला की बेटी की रिश्तेदारी माँ की जानिब से है इस लिये तीन से मसअला करके दो फूफ़ी की औलाद को एक हिस्सा मामूँ और ख़ाला की औलाद को दिया गया। फिर फूफ़ी की औलाद अलाहिदा एक फ़रीक़ होकर अपना हिस्सा इस तरह तक़सीम करेंगे कि मुज़क्कर को दो हिस्से और मुअन्नस् को एक हिस्सा मिलेगा इसी तरह मामूँ का बेटा और ख़ाला की बेटी एक फ़रीक़ बनकर अपना हिस्सा इस तरह तक़सीम करलेंगे कि मामूँ के बेटे को दो हिस्से और ख़ाला की बेटी को एक हिस्सा मिलेगा इस लिए तीन से तसहीह करके नौ से मसअला होगया उनमें के दो तिहाई यानी छः बाप के फ़रीक़ वालों के हैं वह इस तरह तक़सीम होगये कि चार फूफ़ी के बेटे ने और दो फूफ़ी की बेटी ने लेलिये और माँ की तरफ़ वाले मामूँ के बेटे और ख़ाला की बेटी ने नौ का एक तिहाई यानी तीन इस तरह तक़सीम कर लिया कि दो मामूँ के बेटे ने और एक ख़ाला की बेटी ने ले लिया।

मिसाल: 1 मसअला 3×2 त6 मय्यित

अल्लाती फूफ़ी की बेटी — 2 | अल्लाती फूफ़ी की बेटी — 2 | हक़ीक़ी मामूँ का बेटा — 1 | हक़ीक़ी ख़ाला का बेटा — 1

तौज़ीहे मिसाल 1:– फूफ़ी और मामूँ ख़ाला की औलादें दर्जा में बराबर हैं और जिहते क़राबत में

मुख़्तलिफ़ हैं इस लिये तीन से मसअ्ला करके दो बाप के क़राबत वाली फूफी की बेटियों को और एक माँ की क़राबत वाले मामूँ और ख़ाला के बेटों को दिया गया। फिर तीन से तसहीह करके मसअ्ला को सहीह कर दिया गया यहाँ माँ की क़राबत मामूँ और ख़ाला क़ुव्वते क़राबत रखते थे मगर उनकी क़ुव्वते क़राबत ने बाप की तरफ़ अ़ल्लाती फूफी की औलाद को महरूम न किया।

मिसाल: 2 मसअ्ला 3 मय्यित

हक़ीक़ी फूफी का बेटा	अ़ल्लाती फूफी का बेटा	अ़ल्लाती मामूँ का बेटा	अख़्याफ़ी ख़ाला की बेटी
2	महरूम	1	महरूम

तौज़ीहे मिसाल.2:– बाप और माँ दोनों जानिब के ज़विल'अरहाम हैं और दर्जा में सब बरबाबर हैं और हक़ीक़ी फूफी का बेटा क़वी क़राबत (मजबूत रिश्तेदारी) रखता है लेकिन जिहत मुख़्तलिफ़ होने की वजह से वह माँ की तरफ़ वाले ज़विल'अरहाम अ़ल्लाती मामूँ के बेटे और अख़्याफ़ी ख़ाला की बेटी को महरूम नहीं करेगा लिहाज़ा तीन हिस्से करके दो हिस्से बाप की तरफ़ वाले ज़विल'अरहाम को और एक हिस्सा माँ की तरफ़ वाले ज़विल'अरहाम को दिया गया फिर हर फ़रीक़ में क़ुव्वते क़राबत ने असर किया तो हक़ीक़ी फूफी के बेटे ने अपने फ़रीक़ का कुल हिस्सा यानी दो सिहाम ले लिया और अ़ल्लाती फूफी का बेटा महरूम होगया इसी तरह माँ की तरफ़ वाले ज़विल'अरहाम में अ़ल्लाती मामूँ के बेटे ने क़ुव्वते क़राबत की वजह से अपने फ़रीक़ का पूरा हिस्सा एक सिहाम लेलिया और अख़्याफ़ी ख़ाला की बेटी को महरूम कर दिया।

मुख़न्नसीन की मीरास् का बयान

अगर्चे इसका मौक़ा शाज़ व नादिर ही आता है ताहम अगर आजाये तो हुक्मे शरअ़ मालूम होना ज़रुरी है इस लिये हम किताब की तकमील के लिये इस बाब को शामिल करना ज़रुरी समझते हैं।

मसअ्ला.1:– मुख़न्नस् वह शख़्स है जिसमें मर्द और औरत दोनों के अअ्ज़ा हों या दोनों में से कोई अ़ज़ू न हो। अगर दोनों अ़ज़ू हों तो यह देखा जायेगा कि वह पेशाब कौनसे अ़ज़ू से करता है अगर मर्दाना अ़ज़ू से पेशाब करता है तो मर्द का हुक्म है और अगर ज़नाना अ़ज़ू से पेशाब करता है तो औरत का हुक्म है और अगर दोनों से पेशाब करता है तो यह देखा जायेगा पहले पेशाब कौनसे अ़ज़ू से करता है जिससे पहले पेशाब करेगा उसका हुक्म होगा और अगर दोनों अ़ज़ू से एक साथ पेशाब करता है तो उस को ख़ुन्सा मुश्किल कहते हैं यानी उसके मर्द व औरत होने का कुछ पता नहीं चलता उसी के अहकाम यहाँ बयान किये जाते हैं और यह हुक्म उस वक़्त जब कि वह बच्चा है और अगर बुलूग़ की उ़म्र को पहुँच गया और उस को दाढ़ी निकल आई या मर्दों की तरह एहतिलाम हो या जिमाअ् करने के लाइक़ होजाये तो उसे मर्द माना जायेगा। और अगर उसके पिस्तान ज़ाहिर हुए या माहवारी आई तो औरत माना जायेगा और अगर दोनों क़िस्म की अ़लामतें न पाई गईं या दोनों क़िस्म की अ़लामतें पाई गईं जब भी ख़ुन्सा मुश्किल कहलायेगा।(आलमगीरी स.437 जि.6)

मसअ्ला.2:– ख़ुन्सा मुश्किल का हुक्म यह है कि उसको मुज़क्कर व मुअन्नस् मानकर जिस सूरत में कम मिलता है वह दिया जायेगा और अगर एक सूरत में उसे हिस्सा मिलता है और एक सूरत में नहीं मिलता तो न मिलने वाली सूरत इख़्तियार की जायेगी। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.638 जि.5)

मिसाल: 1 मसअ्ला 5 मय्यित

इब्न	बिन्त	ख़ुन्सा (बसूरते मफ़रूज़ा मुज़क्कर)
2	1	2

मसअ्ला 4 मय्यित

इब्न	बिन्त	ख़ुन्सा (बसूरत मफ़रूज़ा मुअन्नस्)
2	1	1

तशरीह:– अगर ख़ुन्सा को लड़का मानते हैं तो उसे 5 हिस्सों में से दो हिस्से मिलते हैं और अगर उसे लड़की मानते हैं तो चार हिस्सों में से एक हिस्सा मिलता है और ज़ाहिर है कि 2/5, 1/4 से ज़्यादा है लिहाज़ा उस को मुअन्नस् वाला हिस्सा यानी 1/4 दिया जायेगा।

मिसाल.2 मसअ्ला.2 मय्यित

ज़ौज	हक़ीक़ी बहन	ख़ुन्सा (बाप की तरफ़ से मफ़रूज़ा भाई)
1	1	महरूम

मसअ्ला.6 तअव्वुल इला.7 — मय्यित

ज़ौज	हक़ीक़ी बहन	ख़ुन्सा (बाप की तरफ़ से मफ़रूज़ा बहन)
3	3	1

तशरीह:– अगर ख़ुन्सा को बाप की तरफ़ से भाई क़रार दिया जाये तो वह असबा बनेगा और उस के लिये कुछ न बचेगा इस लिये कि निस्फ़ शौहर का और निस्फ़ हक़ीक़ी बहन का फ़र्ज़ हिस्सा है और असबा को उस वक़्त मिलता है जब ज़विलफ़ुरूज़ से कुछ बचे और जब ख़ुन्सा को बाप की तरफ़ से बहन फ़र्ज़ किया गया तो वह ज़विलफ़ुरूज़ में से है और 6 से मसअ्ला बनाने के बाद निस्फ़ यानी 3 शौहर को मिले और निस्फ़ हक़ीक़ी बहन को और ख़ुन्सा को छठा हिस्सा यानी एक बहनों का दो तिहाई हिस्सा पूरा करने के लिये और मसअ्ला औल होकर 7 से होगया लिहाज़ा ख़ुन्सा को मुज़क्कर मान कर महरूम रखा जायेगा। (शरीफ़िया स.126 आलमगीरी स.437 जि.6)

ह़म्ल की विरासत का बयान

अगर तक़सीमे विरासत के वक़्त बीवी के पेट में बच्चा है तो उसका हिस्सा महफ़ूज़ रखा जायेगा जिस की तफ़सील हस्बे ज़ैल है।

मसअ्ला.1:– बच्चा माँ के पेट में ज़्यादा से ज़्यादा दो साल रह सकता है और कम अज़ कम मुद्दते ह़मल छः माह है।

मसअ्ला.2:– अगर ह़म्ल मय्यित का है और दो साल के दौरान बच्चा पैदा हुआ और औरत ने अभी तक इद्दत ख़त्म होने का इक़रार न किया हो तो यह बच्चा वारिस् भी होगा और उसके माल के और लोग भी वारिस् होंगे और अगर दो साल पूरे होने के बाद बच्चा पैदा हुआ तो यह भी वारिस् नहीं होगा और इसका भी वारिस् कोई नहीं होगा। (शामी स.702 जि.5 सिराजी स.58)

मसअ्ला.3:– ह़म्ल से पैदा होने वाला बच्चा उस वक़्त वारिस् होगा जब कि वह ज़िन्दा पैदा हो या उसका अकस्र हिस्सा ज़िन्दा बाहर हुआ हो और ज़िन्दगी को इस तरह जाना जायेगा कि वह रोये या छींके या कोई आवाज़ निकाले या उसके अअ्ज़ा (जिस्म के हिस्से) ह़रकत करें। (आलमगीरी जि.6 स.456)

मसअ्ला.4:– अगर बच्चा इस तरह पैदा हुआ कि उसका सर पहले निकला तो सीने पर दार ो मदार है अगर सीना ज़िन्दा रहकर निकल आया तो वारिस् होगा और सीना निकलने से पंहले मर गया तो वारिस् नहीं होगा और अगर पैर पहले निकले हैं तो नाफ़ का एअ्तिबार होगा अगर नाफ़ ज़ाहिर होने तक ज़िन्दा था तो वारिस् होगा वरना नहीं। (सिराजी स.59 आलमगीरी स.456 जि.6)

मसअ्ला.5:– बेहतर तो यह है कि तर्का तक़सीम करने में बच्चे की पैदाइश का इन्तिज़ार कर लिया जाये ताकि हिसाब में कोई तब्दीली न करना पड़े और अगर वुरसा इन्तिज़ार करने को तैयार नहीं हों तो ह़म्ल के अह़काम पर अ़मल किया जाये।

मसअ्ला.6:– ह़म्ल की दो सूरतें हैं (1)मय्यित का ह़म्ल है (2)मय्यित के एलावा किसी दूसरे रिश्तेदार का ह़म्ल हो जो मय्यित का वारिस् बन सकता हो। अगर मय्यित का ह़मल है तो उसको लड़का फ़र्ज़ करने और लड़की फ़र्ज़ करने की सूरतों में से जिस सूरत में ज़्यादा हिस्सा मिलता है वह हिस्सा महफ़ूज़ रखा जायेगा।

ह़म्ल का हिस्सा निकालने का क़ाइदा

मसअ्ला.7:– एक मर्तबा ह़म्ल को मुज़क्कर मानकर मसअ्ला निकाला जाये और एक मर्तबा ह़म्ल को मुअन्नस् मानकर मसअ्ला निकाला जाये फिर दोनों मसअ्लों की तसह़ीह़ में अगर तवाफ़ुक़ हो तो हर एक के वफ़्क़ को दूसरे के कुल में ज़र्ब दिया जाये और अगर दोनों तसह़ीह़ में तबायुन हो तो हर तसह़ीह़ को दूसरी तसह़ीह़ में ज़र्ब दे दिया जाये और दोनों सूरतों में ह़ासिल ज़र्ब दोनों मसअ्लों की तसह़ीह़ क़रार पायेगी और दोनों मसअ्लों में से हर वारिस् को जो सिहाम मिले हैं उन में भी यह अ़मल किया जाये कि दोनों मसअ्लों की तसह़ीह़ में तवाफ़ुक़ होने की सूरत में एक मसअ्ला के वफ़्क़े तसह़ीह़ को दूसरे मसअ्ला में से हर वारिस् के सिहाम में ज़र्ब दी जाये और दोनों तसह़ीहों में तबायुन की सूरत में हर तसह़ीह़ को दूसरी तसह़ीह़ में से हर वारिस् के सिहाम में ज़र्ब

दी जाये अब दोनों मसअ्लों में हर वारिस् के हिस्सों को देखा जाये जो कम हो वह हर वारिस् को उस वक़्त दे दिया जाये और जितना ज़्यादा है वह महफ़ूज़ रखा जायेगा। बच्चा पैदा होने के बाद जो माल महफ़ूज़ रखा गया था उसमें से जिस वारिस् के हिस्से में से काटकर उसे कम दिया गया था उसका हिस्सा पूरा कर दिया जायेगा और अगर वह अपना हिस्सा पूरा लेचुका था तो उस के हिस्से में कोई तब्दीली नहीं होगी और हम्ल से पैदा होने वाला बच्चा अपना हिस्सा ले ले।

मिसाले अव्वल **मसअला.24, 8×27= 216**

अब	उम	ज़ौजा	बिन्त	हम्ल (मफ़रुज़ा लड़का)
4	4	3	13	78
36	36	27	117	
			39	

मसअला तअव्वुल इला 8×27= 216 मय्यित

अब	उम	ज़ौजा	बिन्त	हमल (मफ़रुज़ा लड़की)
4	4	3	8	8
32	32	24	64	64

तौज़ीह :– हम्ल को मुज़क्कर मानने की सूरत में मसअ्ला 24 से था और मुअन्नस मानने की सूरत में मसअ्ला 27 से था और 24 और 27 में तवाफ़ुक़ बिस्सुलुस् है यानी 3 दोनों को तक़सीम कर देता है। इस लिए 24 के वफ़्क़ 8 को 77 में ज़र्ब दिया तो 216 हुआ और 27 के वफ़्क़ 9 को 24 में ज़र्ब दिया जब भी 216 हुये लिहाज़ा अब दोनों मसअ्लों की तसहीह 216 है और हम्ल को मुज़क्कर जानने की सूरत में अदद सहीह 24 था उस का वफ़्क़ 8 है लिहाज़ा 8 को दूसरे मसअ्ला की तसहीह 27 में से हर वारिस् को जो सिहाम मिले थे उसको ज़र्ब दिया गया और हम्ल को मुअन्नस जानने की सूरत में तसहीह का अदद 27 था उसका वफ़्क़ 9 है इस लिये 9 को दूसरे मसअ्ला में से हर वारिस् के सिहाम को ज़र्ब दिया गया। अब दोनों मसअ्लों में हर वारिस् के हिस्सों को देखा बाप को पहले मसअ्ला में 36 और दूसरे मसअ्ला में 32 सिहाम मिले इस लिए उसको 32 दे दिये जायेंगे और चार सिहाम महफ़ूज़ रखे जायेंगे। इसी तरह माँ को भी पहले मसअ्ला में 36 और दूसरे में 32 सिहाम मिले उसको भी 32 दिये जायेंगे चार सिहाम महफ़ूज़ रखे जायेंगे। बीवी को पहले मसअ्ले में 27 और दूसरे मसअ्ले में 24 सिहाम मिले 24 उसको देदिये जायेंगे और तीन महफ़ूज़ रखे जायेंगे। लड़की को पहले मसअ्ला में 39 और दूसरे मसअ्ला में 64 सिहाम मिले इस लिए 39 दिये जायेंगे और 25 सिहाम महफ़ूज़ रखे जायेंगे। फिर अगर हमल से लड़का पैदा हुआ तो 78 सिहाम जो पहले मसअ्ला में उसे मिले थे उसको दे दिये जायेंगे और बाप के जो 4 सिहाम महफ़ूज़ थे वह उसको और माँ के जो 4 सिहाम महफ़ूज़ थे वह उसको और बीवी के तीन सिहाम महफ़ूज़ थे वह उसको देदिये जायेंगे। इस तरह 216 सिहाम पूरे हो जायेंगे। और अगर हम्ल से लड़की पैदा हुई तो माँ, बाप और बीवी अपना पूरा हिस्सा ले चुके हैं उनको महफ़ूज़ सिहाम से कुछ नहीं मिलेगा लेकिन बेटी के जो 25 सिहाम महफ़ूज़ थे वह उसको देदिये जायेंगे और 64 सिहाम पैदा होने वाली लड़की को दे दिये जायेंगे इस तरह फिर मजमूआ 216 सिहाम पूरा हो जायेगा और अगर हमल से मुर्दा बच्चा पैदा हुआ तो लड़की निस्फ़ माल की मुस्तहक़ थी और उसे 39 सिहाम दिये गये थे लिहाज़ा उस को 69 सिहाम और दे दिये जायेंगे इस तरह उसका कुल हिस्सा 216 का निस्फ़ 108 सिहाम हो जायेगा और माँ और बाप के 4, 4 सिहाम जो काटे गये थे वह उनको दे दिये जायेंगे और 3 सिहाम बीवी के काटे गये थे वह उसको दे दिये जायेंगे.और 9 सिहाम महफ़ूज़ माल में से बचेंगे वह बाप को अ़सबा होने की वजह से दे दिये जायेंगे।

मसअला 7×6 तसहीह 42 मय्यित

इब्न	इब्न	बिन्त	हमल मफ़रुज़ा लड़का	ज़ौजा–ए–खुलअ् से मुतल्लक़ा बाइना महरूम
2	2	1	2	
12	12	6	12	

मसअला 7×6 तसहे 42 — जौजा खुलअ से मुतल्लका बाइना

इब्न	इब्न	बिन्त	हमल मफ़रूज़ा लड़की
2	2	1	1
14	14	7	7

तौज़ीह:– हम्ल को मुज़क्कर मानने की सूरत में मसअला 7 से हुआ था और मुअन्नस मानने सूरत में 6 से और 6 और 7 में तबायुन है इस लिये 7 को दूसरे मसअला की तसहीह 6 में ज़र्ब दिया तो 42 हुये और दूसरे मसअला की तसहीह 6 को 7 में ज़र्ब दिया जब भी 42 हुये इसी तरह पहले मसअला की तसहीह 7 को दूसरे मसअला में से वारिसों के हर हिस्सा में ज़र्ब दिया और दूसरे मसअला की तसहीह 6 को पहले मसअले की तसहीह में हर वारिस के हिस्से में ज़र्ब दिया तो लड़कों को हम्ल मुज़क्कर मानने की सूरत में 12, 12 सिहाम और लड़की को 6 सिहाम मिले और हम्ल को मुअन्नस मानने की सूरत में लड़कों को 14, 14 सिहाम और लड़की को 7 सिहाम मिले लिहाज़ा कम वाले हिस्से यानी लड़कों को 12, 12 और लड़की को 6 सिहाम दिये जायेंगे और बाक़ी 12 सिहाम महफ़ूज़ रखे जायेंगे अगर हम्ल से लड़का पैदा हुआ तो उसको 12 सिहाम दे दिये जायेंगे वही उसका पूरा हिस्सा था और अगर लड़की पैदा हुई तो उसके हिस्से के 7 सिहाम उस को दे दिये जायेंगे और 2, 2 सिहाम हर लड़के को और एक सिहाम लड़की को देकर उनके हिस्से पूरे कर दिये जायेंगे। इस लिये कि वह अब ज़्यादा के मुस्तहक़ हैं जौजा खुलअ से तलाक़े बाइन हासिल करने की वजह से महरूम रहेगी।

मसअला.5:– अगर मय्यित के एलावा किसी दूसरे का हम्ल हो तो मूरिस की मौत के छः माह या उस से कम में बच्चा पैदा होने से वारिस होगा और छः माह के बाद पैदा होने से वारिस नहीं होगा लेकिन अगर छः माह के बाद पैदा हुआ और औरत ने इद्दत ख़त्म होने का इक़रार न किया हो और दूसरे वुरसा यह इक़रार करें कि यह हम्ल मय्यित की मौत के वक़्त मौजूद था तो छः माह के बाद पैदा होने से भी वारिस हो जायेगा। (शामी स.702 जि.5 शरीफ़िया स.132 सिराजी स.58 आलमगीरी स455 जि.6)

मसअला.6:– मज़कूरा बाला सूरत में भी वही हुक्म है कि हमल को मुज़क्कर व मुअन्नस मानकर अलाहिदा अलाहिदा दो मसअले बनाये जायेंगे और वुरसा को दोनों मसअलों में से जो कम हिस्सा मिलता होगा वह दे दिया जायेगा और बाक़ी महफ़ूज़ रखकर बच्चा पैदा होने के बाद जो सूरत होगी उस पर अमल किया जायेगा। (शामी स.702 जि.5)

मसअला 6×4= 24 — मय्यित — हिन्दा

ज़ौज	माँ हामिला	हम्ल मफ़रूज़ा मुज़क्कर
3	2	1
12	8	4

मसअला 6 तऊल इला 8×3=24 — हिन्दा — मय्यित

ज़ौजा	माँ हामिला	हम्ल मफ़रूज़ा मुअन्नस
3	2	3
9	6	9

तौज़ीह :– हम्ल मुज़क्कर मानने की सूरत में शौहर को 12 सिहाम और हम्ल को मुअन्नस मानने की सूरत में 9 सिहाम मिलेंगे लिहाज़ा उसे 9 सिहाम दे दिये जायेंगे और 3 सिहाम महफ़ूज़ रखे जायेंगे माँ को हम्ल मुज़क्कर मानने की सूरत में 8 सिहाम और मुअन्नस मानने की सूरत में 6 सिहाम मिलेंगे लिहाज़ा उसे 6 सिहाम दे दिये जायेंगे इस तरह दोनों को 15 सिहाम देने के बाद 9 सिहाम महफ़ूज़ रहेंगे अगर हम्ल से लड़की पैदा हुई तो यह 9 सिहाम उसका हिस्सा है उस को दे दिये जायेंगे और शौहर और माँ अपना पूरा हिस्सा ले चुके थे इस लिये कोई तब्दीली नहीं होगी और हम्ल से लड़का पैदा हुआ तो यह बच्चा 4 सिहाम का मुस्तहक़ है लिहाज़ा 4 सिहाम उसको दे दिये जायेंगे और तीन सिहाम शौहर को और 2 सिहाम माँ को दे दिये जायेंगे क्योंकि वह उस के मुस्तहक़ हैं और उन्हीं के हिस्से से यह सिहाम महफ़ूज़ किये गये थे। इस मसअला में हम्ल को लड़का फ़र्ज़ करने की सूरत में चूंकि

वह भाई है इस लिये असबा होगा और माँ और शौहर हर ज़विलफुरूज़ में से हैं उन दोनों का फ़र्ज़ हिस्सा निकालने के बाद जो बाक़ी बचा वह उसको दे दिया गया और हम्ल को मुअन्नस मानने की सूरत में वह हक़ीक़ी बहन होगी और ज़विलफुरूज़ में होने की वजह से निस्फ़ माल की मुस्तहक़ होगी। लिहाज़ा माँ और शौहर के साथ मिलकर उसके हिस्सा की वजह से औल किया गया और उसे उसका फ़र्ज़ हिस्सा दिया गया वह अस्बियत के हिस्से से ज़्यादा है।

मसअ्ला.7:– हम्ल की उन तमाम सूरतों में हम्ल में एक बच्चा मानकर तख़रीजे मसाइल की गई है इस लिये कि उसी क़ौल पर फ़तवा है लेकिन यह एहतिमाल है हमल से एक से ज़्यादा बच्चा पैदा हों इस लिये तमाम वारिसों की तरफ़ से ज़ामिन लिया जायेगा ताकि अगर ज़्यादा बच्चे पैदा हों तो उन वारिसों से माल वापस दिलाने का वह ज़ामिन ज़िम्मेदार हो। (शामी स.701 शरीफ़िया स.132 सिराजी 58)

मसअ्ला.8:– इन तमाम मसाइल में हिस्सा महफ़ूज़ रखने का हुक्म उन वारिसों के हक़ में है जिनका हिस्सा ज़्यादा से कमी की तरफ़ तब्दील होजाता है और जिनका हिस्सा तब्दील नहीं होता है उनके हक़ में महफ़ूज़ रखने की कोई ज़रूरत नहीं मसलन दादी, नानी और हामिला ज़ौजा और जिन वारिसों की यह हालत हो कि हम्ल के मुज़क्कर व मुअन्नस होने की सूरतों में से एक सूरत में महरूम होते हैं और एक सूरत में वारिस् होते हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिया जायेगा और उनका हिस्सा महफ़ूज़ भी नहीं रखा जायेगा मसलन भाई और चचा जब हामिला ज़ौजा के साथ हो तो अगर हम्ल से लड़का पैदा हुआ तो यह लोग महरूम रहेंगे और अगर लड़की पैदा हुई तो यह असबा होकर वारिस् हो जायेंगे लिहाज़ा उनके लिये कोई हिस्सा महफ़ूज़ नहीं रखा जायेगा। (शामी स.702 जि.5)

गुमशुदा शख़्स की विरासत का बयान

मसअ्ला.1:– अगर कोई शख़्स गुम होजाये और उसकी ज़िन्दगी या मौत का कुछ इल्म न हो तो वह शख़्स अपने माल के एअ्तिबार से ज़िन्दा मुतसव्वर होगा यानी उसके माल में विरासत जारी न होगी मगर दूसरे के माल के एअ्तिबार से मुर्दा शुमार होगा यानी किसी से उसको विरासत न मिलेगी। (शरीफ़िया 137, सिराजी 62, आलमगीरी स.55 जि.6, शामी 454 जि.3)

मसअ्ला.2:– गुमशुदा शख़्स के माल को माले महफ़ूज़ रखा जायेगा यहाँ तक कि उसकी मौत का हुक्म दे दिया जाये और उसकी मिक़दार साहिबे फ़त्हुलक़दीर की राय में यह है कि मफ़क़ूद की उम्र के सत्तर बरस गुज़र जायें तो क़ाज़ी उसकी मौत का हुक्म देगा और उसकी जो अमलाक हैं वह उन लोगों पर तक़सीम होंगी जो उस मौत के हुक्म के वक़्त मौजूद हैं(शरीफ़ा स.52 फ़त्हुलक़दीर शामी स.457 जि.3)

मसअ्ला.3:– मफ़क़ूद का अपना माल तो पूरा महफ़ूज़ रखा जायेगा ता वक़्ते कि उसकी मौत का हुक्म दिया जाये अगर उस हुक्म से पहले वह वापस आगया तो अपने माल पर क़ब्ज़ा करलेगा और अगर वापस न आया तो जिस वक़्त मौत का हुक्म किया जायेगा उस वक़्त जो वारिस् मौजूद होंगे उन पर तक़सीम कर दिया जायेगा जैसा कि ऊपर बयान हुआ। (शामी स.454 जि.3)

मसअ्ला.4:– मफ़क़ूद के किसी मूरिस् का इन्तिक़ाल हुआ जिसके वारिसों में मफ़क़ूद के एलावा दूसरे भी हैं तो जिन वुरसा का हिस्सा मफ़क़ूद की ज़िन्दगी और मौत से तब्दील नहीं होता है उन को पूरा हिस्सा देदिया जायेगा और जो वारिस् मफ़क़ूद को ज़िन्दा मानने से महरूम होते हैं और मुर्दा होने से वारिस् होते हैं उनका हिस्सा अभी महफ़ूज़ रखा जायेगा ता वक़्ते कि मफ़क़ूद वापस आ जाये या उसकी मौत का हुक्म दिया जाये और जिन वारिसों का हिस्सा मफ़क़ूद को ज़िन्दा मानने की सूरत में कम होता है और मुर्दा मानने की सूरत में ज़्यादा होता है तो उन को कम हिस्सा दे दिया जायेगा और बाक़ी को महफ़ूज़ रखा जायेगा ता वक़्ते कि मफ़क़ूद का हाल मालूम हो। मिसाल ज़ैद का इन्तिक़ाल हुआ और उसकी दो बेटियाँ और एक मफ़क़ूद बेटा और एक पोता और दो पोतियाँ हैं उसमें अगर गुमशुदा बेटे को ज़िन्दा माना जाये तो पोता, पोती महरूम होते हैं और दोनों बेटों को निस्फ़ माल और मफ़क़ूद को निस्फ़ माल मिलता और अगर गुमशुदा को मुर्दा माना जाये तो पोता पोती वारिस् होंगे और दोनों बेटियों को दो तिहाई हिस्सा मिलेगा लिहाज़ा फ़िल हाल 12 से मसअ्ला करके तीन तीन सिहाम यानी निस्फ़ माल दोनों बेटियों को दे दिया जायेगा और बाक़ी छः सिहाम महफ़ूज़ रखे जायेंगे अगर मफ़क़ूद आगया तो ले लेगा वरना उसकी मौत के हुक्म के

बाद उन छः सिहाम में से दो सिहाम एक एक दोनों लड़कियों को और देकर उनका दो तिहाई हिस्सा पूरा कर दिया जायेगा और बाक़ी चार सिहाम में से दो पोते को और एक एक दोनों पोतियों को दे दिया जायेगा क्योंकि बेटा न होने की सूरत में उसी तरह ज़ैद का माल तक़सीम होता। (शामी स.458)

मुर्तद की विरासत का बयान

मसअ्ला.1:– जब मुर्तद मरजाये, या क़त्ल कर दिया जाये या दारुलहर्ब भाग जाये और क़ाज़ी उस के दारुल'हर्ब चले जाने का फ़ैसला देदे, तो जो कुछ उसने इस्लाम की हालत में कमाया था वह उसके मुसलमान वारिसों में तक़सीम होगा और जो कुछ इर्तिदाद के ज़माने में कमाया था वह बैतुल'माल में चला जायेगा। (शरीफ़िया स.54 शामी स.414 जि.3 आलमगीरी स.254 जि.2)

मसअ्ला.2:– दारुलहर्ब चले जाने के बाद जो उसने कमाया है वह बिल'इत्तिफ़ाक़ फ़ी है उसे बैतुल'माल में जमअ् कर दिया जायेगा।

मसअ्ला.3:– मज़कूरा अहकाम मुर्तद मर्द के थे, लेकिन मुरतद्दा (औरत) की तमाम कमाई ख़्वाह किसी ज़माने की हो मुसलमान वारिसों में तक़सीम कर दी जायेंगी। (शरीफ़िया स.154)

मसअ्ला.4:– मुरतद मर्द और औरत न तो मुसलमान के वारिस होंगे और न ही मुरतद के। (शरीफ़िया स.156)

क़ैदी की विरासत का बयान

मसअ्ला.5:– वह मुसलमान जिसे काफ़िर क़ैद कर के लेगये उसका हुक्म आम मुसलमानों जैसा है वह दूसरों का वारिस् होगा और उसके इन्तिक़ाल के बाद उसके वारिस् उसके माल से तर्का पायेंगे जब तक वह अपने मज़हब पर बाक़ी रहेगा और अगर उसने काफ़िरों की क़ैद में जाने के बाद मज़हबे इस्लाम को छोड़ दिया तो उस पर वही अहकाम होंगे जो मुर्तद के हैं और अगर उस क़ैदी की मौत व ज़िन्दगी का कुछ इल्म न हो तो उस का हुक्म मफ़क़ूद यानी गुमशुदा का हुक्म होगा जैसा कि ऊपर मज़कूरा हुआ। (शरीफ़िया स.156)

ख़त्म शुद

وَ صلی اللّٰہُ تَعَالیٰ عَلیٰ خیرِ خلقہٖ و نور عرشہٖ و قاسم رزقہ سید نا و مولانا محمد و علےٰ الہٖ وَ صحبہٖ
اجمعین۔برحمتك یا ارحم الراحمین۔

مولفہ :۔ مولانا مفتی وقار الدین مفتی سید شجاعت علی صاحب

हिन्दी अनुवाद

मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नियर दो मीनार मस्जिद एजाज़ नगर, पुराना शहर बरेली,यू0पी0

मो0:–09219132423

15 जनवरी 2012 को तर्जमा मुकम्मल किया गया

बहारे शरीअ़त की हिस्सा 1 से 20 तक की कुछ इस्तिलाहात

हिस्सा अव्वल

इल्मे ज़ाती :– वह इल्म कि अपनी ज़ात से बिग़ैर किसी की अ़ता से हो और यह सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला के साथ ख़ास है।

इल्मे अ़ताई :– वह इल्म जो अल्लाह तआ़ला की अ़ता से हासिल हो।

मोअ़जिज़ा :– नबी से बाद दावए नुबुव्वत ख़िलाफ़े अ़क़्ल व आ़दत सादिर होने वाली चीज़ को जिससे सब मुन्केरीन आ़जिज़ होजाते हैं उसे मोअ़जिज़ा कहते हैं।

मोहकम :– जिसके माना बिलकुल ज़ाहिर हों और वह ही कलाम से मकसूद हों उसमें तावील या तख़्सीस की गुन्जाइश न हो और नस्ख़ और तब्दील का एहतिमाल न हो।

मुतशाबह :– जिस की मुराद अ़क़्ल में न आसके और यह भी उम्मीद न हो कि रब तआ़ला बयान फ़रमाये।

इल्हाम :– वली के दिल में बाज़ वक़्त सोते या जागते में कोई बात इल्का होती है (यानी दिल में डाली जाती है) उस को इल्हाम कहते हैं।

वही–ए–शैतानी :– जो शैतान की जानिब से काहिन, साहिर, कुफ़्फ़ार के दिलों में डाली जाती है।

इरहास :– नबी से जो बात ख़िलाफ़े आ़दत नुबुव्वत से पहले ज़ाहिर हो उसको इरहास कहते हैं।

करामत :– वली से जो बात ख़िलाफ़े आ़दत हो उसको करामत कहते हैं।

मऊनत :– आ़म मोमिनीन से जो बात ख़िलाफ़े आ़दत सादिर हो उसको मऊनत कहते हैं।

इस्तिदराज :– बेबाक फुज्जार या कुफ़्फ़ार से जो बात उनके मुवाफ़िक़ ज़ाहिर हो उसको इस्तिदराज कहते हैं।

इहानत :– बेबाक फुज्जार या कुफ़्फ़ार से जो बात उनके ख़िलाफ़ ज़ाहिर हो उसको इहानत कहते हैं।

शफ़ाअ़त बिल'वजाहत :– मुस्तशफ़ा इलैहि (जिस से सिफ़ारिश की गई) की बारगाह में शफ़ाअ़त करने वाले को जो वजाहत (इज़्ज़त और मरतबा) हासिल है उसके सबब शफ़ाअ़त का कबूल होना शफ़ाअ़त बिल'वजाहत है।

शफ़ाअ़त बिल'मोहब्बत :– वह शफ़ाअ़त जिसकी कबूलियत का सबब मुस्तशफ़ा इलैहि (जिस से सिफ़ारिश की गई) की शफ़ाअ़त करने वाले से मोहब्बत है।

शफ़ाअ़त बिल'इज़्न :– इसका माना यह है कि जिसके लिये शफ़ाअ़त की गई है, शफ़ाअ़त करने वाले को मुस्तशफ़ा इलैहि के सामने उसकी शफ़ाअ़त पेश करने की इजाज़त हो।

बरज़ख़ :– दुनिया और आख़िरत के दरम्यान एक और आ़लम है जिसको बरज़ख़ कहते हैं।

ईमान :– सच्चे दिल से उन सब बातों की तस्दीक़ करना जो ज़रूरियाते दीन से हैं ईमान कहलाता है।

ज़रूरियाते दीन :– इससे मुराद वह मसाइले दीन हैं जिनको हर ख़ास व आ़म जानते हों जैसे अल्लाह की वहदानियत, अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की नुबुव्वत, जन्नत व दोज़ख़ वग़ैरह।

मातुरीदिया :– अहले सुन्नत का वह गिरोह जो फुरूई अ़काइद में इमामे इल्मुलहुदा हज़रत अबू'मन्सूर मातुरीदी रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैहि का पैरोकार है। वह मातुरीदिया कहलाता है।

अशाइरा :– अहले सुन्नत का वह गिरोह जो फुरूई अ़काइद में इमाम शैख़ अबुल'हसन अशअ़री रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैहि का पैरोकार है वह अशाइरा कहलाता है।

शिर्क :– अल्लाह तआ़ला की ज़ात व सिफ़ात में किसी दूसरे को शरीक करना शिर्क कहलाता है।

जिज़्या :– वह शरई महसूल जो इस्लामी हुकूमत अहले किताब से उनकी जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के एवज़ में वसूल करे।

तक़लीद :– किसी के क़ौल व फ़ेअ़ल को अपने ऊपर लाज़िमे शरई जानना यह समझकर कि उसका कलाम और उसका काम हमारे लिये हुज्जत है क्योंकि यह शरई मोहक़्क़िक़ है कि हम मसाइले शरईया में इमामे आज़म अबू'हनीफ़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु का क़ौल व फ़ेअ़ल अपने लिये दलील समझते हैं और दलाइले शरईया में नज़र नहीं करते। शरई मसाइल तीन तरह के हैं (1) अ़क़ाइद उनमें किसी की तक़लीद जाइज़ नहीं (2) वह अहकाम जो सराहतन क़ुर्आन पाक या हदीस शरीफ़ से साबित हों इज्तिहाद को उनमें दख़्ल नहीं, उनमें भी किसी की तक़लीद जाइज़ नहीं जैसे पाँच नमाज़ें, नमाज़ की रकातें, तीस रोज़े वग़ैरह (3) वह अहकाम जो क़ुर्आन पाक या हदीस शरीफ़ से इस्तिम्बात व इज्तिहाद करके निकाले जायें उनमें ग़ैर मुज्तहिद पर तक़लीद करना वाजिब है।

क़यास :– क़यास का लुग़वी माना है अन्दाज़ा लगाना, और शरीअ़त में किसी फ़रई मसअ़ले को अस्ल मसअ़ले से इल्लत और हुक्म में मिलादेने को क़यास कहते हैं।

बिदअ़त :– वह एअ़तिक़ाद या वह आमाल जो कि हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम के ज़माने हयाते ज़ाहिरी में न हों बाद में ईजाद हुए।

बिदअ़ते मज़मूमा :– जो बिदअ़ते इस्लाम के ख़िलाफ़ हो या किसी सुन्नत को मिटाने वाली हो वह बिदअ़ते सइएआ है।

बिदअ़ते मकरूहा :– वह नया काम जिससे कोई सुन्नत छूट जाये अगर सुन्नते ग़ैर मोअक्कदा छूटी तो यह बिदअ़त

मकरूह तन्ज़ीही है। और अगर सुन्नते मोअक्कदा छूटी तो यह बिदअ़त मकरूह तहरीमी है।

बिदअ़ते हराम :– वह नया काम जिससे कोई वाजिब छूट जाये यानी वाजिब को मिटाने वाली हो।

बिदअ़ते मुस्तहब्बा :– वह नया काम जो शरीअ़त में मना न हो और उसको आम मुसलमान सवाब का काम जानते हों या कोई शख़्स उसको नियते ख़ैर से करे जैसे महफ़िले मीलाद वग़ैरह।

बिदअ़ते जाइज़, मुबाह :– हर वह नया काम जो शरीअ़त में मना न हो और बिग़ैर किसी नियते ख़ैर के किया जाये जैसे मुख़्तलिफ़ किस्म के खाने खाना वग़ैरह।

बिदअ़ते वाजिब :– वह नया काम जो शरअ़न मना न हो और उसके छोड़ने से दीन में हरज वाक़ेअ़ हो जैसे कि क़ुर्आन के एअ़राब और दीनी मदारिस और इल्मे नहव वग़ैरह पढ़ना।

ख़िलाफ़ते राशिदा :– नबी–ए–करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बाद ख़लीफ़ए बरहक़ व इमामे मुतलक़ हज़रत सय्यिदिना अबूबक्र सिद्दीक़, उमर फ़ारूक़ फिर हज़रत उ़स्मान ग़नी, फिर हज़रत मौला अ़ली, फिर छः महीने के लिये हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम हुए इन हज़रात को ख़ुल्फ़ाए राशेदीन और इनकी ख़िलाफ़त को ख़िलाफ़ते राशिदा कहते हैं।

अ़शरह मुबश्शरह :– वह दस सहाबा जिनको सरकारे दो आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उनकी ज़िन्दगी ही में उनको जन्नत की बिशारत दी हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़, हज़रत उ़मर फ़ारूक़, हज़रत उ़स्माने ग़नी, हज़रत अ़ली मुर्तज़ा, हज़रत तलहा बिन उ़बैदुल्लाह, हज़रत ज़ुबैर बिन अ़वाम, हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़, हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास, हज़रत सईद बिन ज़ैद, हज़रत अबूउ़बैदा इब्ने जर्राह रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम अजमाईन।

ख़ता–ए–मुक़र्रर :– यह वह ख़ताए इज्तिहादी है जिससे दीन में कोई फ़ितना पैदा न होता हो जैसे हमारे नज़्दीक मुक़्तदी का इमाम के पीछे सुरह फ़ातिहा पढ़ना।

ख़ता–ए–मुन्कर :– यह वह ख़ता–ए–इज्तिहादी है जिसके साहिब पर इन्कार किया जायेगा कि उसकी ख़ता बाइसे फ़ितना है।

नज़रे शरई :– नज़्र इस्तिलाहे शरअ़ में वह इबादते मक़सूदा है जो जिन्से वाजिब से हो और वह ख़ुद बन्दे पर वाजिब न हो मगर बन्दे ने अपने क़ौल से उसे अपने ज़िम्मे वाजिब करलिया और यह अल्लाह तआ़ला के लिये ख़ास है इसका पूरा करना वाजिब है।

नज़रे लुग़वी, उ़र्फ़ी :– औलियाअल्लाह के नाम की जो नज़्र मानी जाती है उसे नज़रे लुग़वी कहते हैं उसका माना नज़राना है जैसे कि कोई अपने उस्ताद से कहे कि यह आप की नज़्र है यह बिलकुल जाइज़ है यह बन्दों की होसकती है मगर इसका पूरा करना शरअ़न वाजिब नहीं मसलन ग्यारहवीं शरीफ़ की नज़्र और बुज़ुर्गाने दीन की फ़ातिहा वग़ैरह।

हिस्सा दोम की इस्तिलाहात

इबादते मक़सूदा :– वह इबादत जो ख़ुद बिज़्ज़ात मक़सूद हो किसी दूसरी इबादत के लिये वसीला न हो मसलन नमाज़ वग़ैरह।

इबादते ग़ैर मक़सूदा :– वह इबादत जो ख़ुद बिज़्ज़ात मक़सूद न हो बल्कि किसी दूसरी इबादत के लिये वसीला हो।

फ़र्ज़ :– जो दलीले क़तई से साबित हो यानी ऐसी दलील जिसमें कोई शुबह न हो।

दलीले क़तई :– वह है जिसका सुबूत क़ुर्आन पाक या हदीसे मुतावातिरा से हो।

फ़र्ज़े किफ़ाया :– वह होता है जो कुछ लोगों के अदा करने से सबकी जानिब से अदा होजाता है और कोई भी अदा न करे तो सब गुनाहगार होते हैं जैसे नमाज़े जनाज़ा वग़ैरह।

वाजिब :– वह जिसकी ज़रूरत दलीले ज़न्नी से साबित हो।

दलीले ज़न्नी :– वह है जिसका सुबूत क़ुर्आन पाक या हदीसे मुतवातिरा से न हो, बल्कि अहादीसे अहाद या महज़ अक़वाले अइम्मा से हो।

सुन्नत मोअक्कदा :– वह है जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमेशा किया हो अलबत्ता बयाने जवाज़ के लिये कभी तर्क भी किया हो।

सुन्नते ग़ैर मोअक्कदा :– वह अ़मल जिसपर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुदावमत (हमेश्गी) नहीं फ़रमाई और न उसके करने की ताकीद फ़रमाई लेकिन शरीअ़त ने उसके तर्क को नापसन्द जाना हो और आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने वह अ़मल कभी किया हो।

मुस्तहब :– वह कि नज़रे शरअ़ में पसन्द हो मगर तर्क पर कुछ नापसन्दी न हो ख़्वाह ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसे किया या उसकी तर्ग़ीब दी या उ़लमाए किराम ने पसन्द फ़रमाया अगर्चे अहादीस में उसका ज़िक्र न आया।

मुबाह :– वह जिसका करना न करना यकसां हो।

हरामे क़तई :– जिसकी मुमानअ़त दलीले क़तई से लुज़ूमन साबित हो यह फ़र्ज़ का मुक़ाबिल है।

मकरूह तहरीमी :– जिसकी मुमानअ़त दलीले ज़न्नी से लुज़ूमन साबित हो यह वाजिब का मुक़ाबिल है।

इसाअत :– वह मम्नूअ़ शरई जिसकी मुमानअ़त की दलील हराम और मकरूह तहरीमी जैसी तो नहीं मगर उसका करना

बुरा है, यह सुन्नते मोअक्कदा के मुक़ाबिल है।
मकरूह तन्ज़ीही :– वह अ़मल जिसे शरीअ़त नापसन्द रखे मगर अ़मल पर अज़ाब की वईद न हो। यह सुन्नते ग़ैर मोअक्कदा के मुक़ाबिल है।
ख़िलाफ़े औला :– वह अ़मल जिसका न करना बेहतर हो, यह मुस्तहब का मुक़ाबिल है।
हैज़ :– बालिग़ा औ़रत के आगे के मक़ाम से जो ख़ून आ़दी तौर पर निकलता है और बीमारी या बच्चा पैदा होने के सबब से न हो तो उसे हैज़ कहते हैं।
निफ़ास :– वह ख़ून है कि जो औ़रत के रहम से बच्चा पैदा होने के बाद निकलता है उसे निफ़ास कहते हैं।
इस्तिहाज़ा :– वह ख़ून जो औ़रत के आगे के मक़ाम से किसी बीमारी के सबब से निकले तो उसे इस्तिहाज़ा कहते हैं।
निजासते ग़लीज़ा :– वह निजासत जिसपर फ़ुक़हा का इत्तिफ़ाक़ हो और उसका हुक्म सख़्त हो मसलन गोबर, लीद, पाख़ाना वग़ैरह।
निजासते ख़फ़ीफ़ा :– वह निजासत जिसमें फ़ुक़हा का इख़्तिलाफ़ हो और उसका हुक्म हलका है जैसे घोड़े का पेशाब वग़ैरह।
मनी :– वह गाढ़ा सफ़ेद पानी है जिसके निकलने की वजह से ज़कर की तुन्दी और इन्सान की शहवत ख़त्म होजाती है।
मज़ी :– वह सफ़ेद रक़ीक़ (पतला) पानी जो मुलाअ़बत (दिल्लगी) के वक़्त निकलता है;
वदी :– वह सफ़ेद पानी जो पेशाब के बाद निकलता है।
माज़ूर :– हर वह शख़्स जिसको ऐसी बीमारी हो कि एक वक़्त पूरा ऐसा गुज़र गया कि वुज़ू के साथ नमाज़ फ़र्ज़ अदा न कर सका तो वह माज़ूर है।
मुबाशरते फ़ाहिशा :– मर्द अपने आले को तुन्दी की हालत में औ़रत की शर्मगाह या किसी मर्द की शर्मगाह से मिलाये या औ़रत, औ़रत बाहम मिलायें बशर्ते कि कोई शय हाइल न हो।
आबे जारी :– वह पानी जो तिन्के को बहाकर लेजाये।
निजासत मरईया :– वह निजासत जो ख़ुश्क होने के बाद भी दिखाई दे जैसे पाख़ाना।
निजासते ग़ैर मरईया :– वह निजासत जो ख़ुश्क होने के बाद भी दिखाई दे जैसे पाख़ाना।
माए मुस्तामल :– वह थोड़ा पानी जिससे हदस् दूर किया गया हो या दूर हुआ हो या ब'नियते तक़र्रुब इस्तेअ़माल किया गया हो और बदन से जुदा होगया हो अगर्चे कहीं ठहरा नहीं रवानी ही में हो।
इस्तिबरा :– पेशाब करने के बाद कोई ऐसा काम करना कि अगर कोई क़तरा रुका हो तो गिरजाये।
हदसे् असग़र :– जिन चीज़ों से सिर्फ़ वुज़ू लाज़िम होता हैं उनको हदसे् असग़र कहते हैं।
हदसे् अकबर :– जिन चीज़ों से ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो उनको हदसे् अकबर कहते हैं।

हिस्सा सोम की इस्तिलाहात

मुर्तद :– वह शख़्स है कि इस्लाम के बाद किसी ऐसे अम्र का इन्कार करे जो ज़रूरियाते दीन से हो यानी ज़बान से कलिमए कुफ़्र बके जिसमें तावीले सहीह की गुन्जाइश न हो यूहीं बाज़ अफ़आ़ल भी ऐसे हैं जिनसे काफ़िर होजाता है मस्लन बुत को सजदा करना, मुस्हफ़ शरीफ़ को निजासत की जगह फेंक देना।
शफ़क़ :– शफ़क़ हमारे मज़हब में उस सपेदी का नाम है जो मग़रिब की जानिब में सुर्ख़ी डूबने के बाद जुनूबन, शिमालन सुबह सादिक़ की तरह फैली हुई रहती है।
सुबह सादिक़ :– एक रौशनी है कि मश्रिक़ की जानिब जहाँ से आज आफ़ताब तुलूअ़ होने वाला है उसके ऊपर आसमान के किनारे में जुनूबन, शिमालन दिखाई देती है और बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि तमाम आसमान पर फैल जाती है और ज़मीन पर उजाला होजाता है।
सुबह काज़िब :– सुबह सादिक़ से पहले आसमान के दरम्यान में एक दराज़ सपेदी ज़ाहिर होती है जिसके नीजे सारिक उफ़्क़े स्याह होता है फिर यह सफ़ेदी सुबह सादिक़ की वजह से ग़ाइब होजाती है उसे सुबह काज़िब कहते हैं।
साया अस्ली :– वह स्याह जो निस्फ़ुन्नहार के वक़्त (हर चीज़ का) होता है।
निस्फ़ुन्नहारे शरई :– तुलूअ़ सुबह सादिक़ से ग़ुरूब आफ़ताब तक के निस्फ़ को निस्फ़ुन्नहार शरई कहते हैं।
निस्फ़ुन्नहारे हक़ीक़ी (उ़र्फ़ी) :– तुलूअ़ आफ़ताब से ग़ुरूब आफ़ताब तक के निस्फ़ को निस्फ़ुन्नहारे हक़ीक़ी कहते हैं।
ज़हवए कुबरा :– निस्फ़ुन्नहारे शरई को ही ज़हवए कुबरा कहते हैं।
वक़्ते इस्तिवा :– निस्फ़ुन्नहार का वक़्त यानी उससे मुराद ज़हवए कुबरा से लेकर ज़वाल तक पूरा वक़्त मुराद है।
ख़त्ते इस्तिवा :– वह फ़र्ज़ी दाइरा जो ज़मीन के बीचो बीच क़ुतबों से बराबर फ़ासिले पर मश्रिक़ से मग़रिब की तरफ़ खींचा हुआ माना गया है जब सूरज उस ख़त पर आता है तो दिन रात बराबर होते हैं।
अ़र्ज़े बलद :– ख़त्ते इस्तिवा से किसी बलद की क़रीब'तरीन दूरी को अ़र्ज़े बलद कहते हैं।
मिस्ले अव्वल :– किसी चीज़ का साया, साया असली के अ़लावा उस चीज़ के एक मिस्ल होजाये।
मिस्ले सानी :– किसी चीज़ का साया, साया असली के अ़लावा उस चीज़ के दो मिस्ल होजाये।

औकाते मकरूहा :– यह तीन हैं, तुलूअ़ आफ़ताब से लेकर बीस मिनट बाद तक, ग़ुरूब आफ़ताब से बीस मिनट पहले और निस्फ़ुन्नहार यानी ज़हवए कुबरा से लेकर ज़वाल तक।

साहिबे तर्तीब :– वह शख़्स जिसकी बुलूग़त के बाद से लगातार पाँच फ़र्ज़ नमाज़ों से ज़ाइद कोई नमाज़ क़ज़ा न हुई हो।

तस्वीब :– मुसलमानों को अज़ान के बाद नमाज़ के लिये दोबारा इत्तिला देना तस्वीब है।

शर्त :– वह शय जो हकीकते शय में दाखिल न हो लेकिन उसके बिग़ैर शय मौजूद न हो जैसे नमाज़ के लिये वुज़ू वग़ैरह।

खुन्सा मुश्किल :– जिसमें मर्द व औरत दोनों की अ़लामतें पाई जायें। और यह साबित न हो कि मर्द है या औरत।

रुक्न :– वह चीज़ है जिसपर किसी शय का वुजूद मौकूफ़ हो और वह खुद उस शय का हिस्सा और जुज़ हो जैसे नमाज़ में रुकूअ़ वग़ैरह।

खुरूज बिसुन्एही :– क़ादा अख़ीरा के बाद सलाम व कलाम वग़ैरह कोई ऐसा फ़ेअ़्ल जो मनाफ़ी नमाज हो क़स्दन करना।

तअ़्दीले अरकान :– रुकूअ़ व सुजूद व क़ौमा व जल्सा में कम से कम एक बार सुब्हानल्लाह कहने की मिक़दार ठहरना।

क़ौमा :– रुकूअ़ के बाद सीधा खड़ा होना।

जल्सा :– दोनों सजदों के दरम्यान सीधा बैठना।

मुहाले आदी :– वह शया जिसका पाया जाना आदत के तौर पर नामुम्किन हो उसे मुहाले आदी कहते हैं मस्लन किसी ऐसे शख़्स का हवा में उड़ना जिसको आदतन उड़ते न देखा गया हो।

मुहाले शरई :– वह शय जिसका पाया जाना शरई तौर पर ना'मुम्किन हो उसे मुहाले शरई कहते हैं मस्लन काफ़िर का जन्नत में दाख़िल होना वग़ैरह।

तिवाले मुफ़स्सल :– सुरह हुजरात से सूरह बुरूज तक तिवाले मुफ़स्सल कहलाता है।

औसाते मुफ़स्सल :– सूरह बुरूज से सूरह लम यकुन तक औसाते मुफ़स्सल कहलाता है।

क़िसारे मुफ़स्सल :– सूरह लम यकुन से आख़िर तक क़िसारे मुफ़स्सल कहलाता है।

इदग़ाम :– एक साकिन हर्फ़ को दूसरे मुतहर्रिक हर्फ़ में इस तरह मिलाना कि दानों हुरूफ़ एक मुशद्दद हर्फ़ पढ़ा जाये।

तरख़ीम :– मुनादा के आख़िरी हर्फ़ को तख़्फ़ीफ़न गिरा देना तर्ख़ीम कहलाता है।

गुन्ना :– नाक में आवाज़ लेजाकर पढ़ना।

इज़हार :– हर्फ़ को उसके मख़रज से बिग़ैर किसी तग़य्युर के और गुन्ना के अदा करने को कहते हैं।

इख़्फ़ा :– इज़हार और इदग़ाम की दरम्यानी हालत।

मद्द व लीन :– वाव, य, अलिफ़ साकिन और मा'क़ब्ल की हरकत मुवाफ़िक़ हो तो उसको मद्द व लीन कहते हैं। यानी वाव के पहले पेश और य के पहले ज़ेर, अलिफ़ के पहले ज़बर।

आ़रियत :– दूसरे शख़्स को अपनी किसी चीज़ की मन्फ़अ़त का बिग़ैर एवज़ मालिक करदेना आ़रियत है।

मुदरिक :– जिसने अव्वल रकात से तशह्हुद तक इमाम के साथ (नमाज़) पढ़ी अगर्चे पहली रकात में इमाम के साथ रुकूअ़ ही में शरीक हुआ हो।

लाहिक़ :– वह कि (जिसने) इमाम के साथ पहली रकात में इक़्तिदा की मगर बादे इक़्तिदा उसकी कुल रकातें या बाज़ फ़ौत होगईं।

मस्बूक़ :– वह है कि इमाम की बाज़ रकातें पढ़ने के बाद शामिल हुआ और आख़िर तक शामिल रहा।

लाहिक़ मस्बूक़ :– वह है जिसको कुछ रकातें शुरूअ़ में न मिलीं, फिर शामिल होने के बाद लाहिक़ होगया।

तकबीराते तशरीक़ :– अ़र्फ़ा यानी नवीं ज़िलहिज्जा की फ़ज्र से तेरहवीं की अ़स्र तक हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद बुलन्द आवाज़ के साथ एक बार الله اکبر الله اکبر لا اله الاالله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد पढ़ना।

अ़मले क़लील :– जिस काम के करने वाले को दूर से देखने वाला इस शक व शुबह में पड़ जाये कि यह नमाज़ में है या नहीं तो अ़मले क़लील है।

अ़मले कसीर :– जिस काम के करने वाले को दूर से देखने से ऐसा लगे कि यह नमाज़ में नहीं है बल्कि गुमान भी ग़ालिब हो कि नमाज़ में नहीं है तब भी अ़मले कसीर है।

तसफ़ीक़ :– सीधे हाथ की उंगलियाँ उलटे हाथ की पुश्त पर मारने को तसफ़ीक़ कहते हैं।

एअ़्तिजार :– सर पेर रूमाल या इमामा इस तरह बान्धना कि दरम्यान का हिस्सा नन्गा रहे तो यह एअ़्तिजार है।

इस्बाल :– तहबन्द या पायचे का टख़्नों से नीचे खुसूसन ज़मीन तक पहुँचते रखना इस्बाल कहलाता है।

हिस्सा चहारुम की इस्तिलाहात

शफ़ए अव्वल, शफ़ए सानी :– चार रकात वाली नमाज़ की पहली दो रकात को शफ़ए अव्वल और आख़िरी दो रकात को शफ़ए सानी कहते हैं।

अल'मारूफ़ कल'मशरूत :– यह फ़िक़्ह का एक क़ायदा है कि मारूफ़ मशरूत की तरह है यानी जो चीज़ मशहूर हो वह तयशुदा मुआ़मले का हुक्म रखती है।

अल'मअ़हूद कल'मशरूत :— यह फ़िक्ह का एक क़ायदा है कि मअ़हूद मशरूत की तरह है यानी जो बात सबके ज़हन में हो वह तयशुदा मुआ़मले का हुक्म रखती है।

वत़ने असली :— वत़ने असली से मुराद किसी शख़्स की वह जगह है जहाँ उसकी पैदाइश है या उसके घर के लोग वहाँ रहते हैं या वहाँ सुकूनत करली और यह इरादा है कि यहाँ से न जायेगा।

वत़ने इक़ामत :— वह जगह है कि मुसाफ़िर ने पन्द्रह दिन या उस से ज़्यादा ठहरने का वहाँ इरादा किया हो।

शैख़े फ़ानी :— वह बूढ़ा जिसकी उम्र ऐसी होगई कि अब रोज़ बरोज़ कमज़ोर ही होता जायेगा जब वह रोज़ा रखने से आजिज़ हो यानी न अब रख सकता है न आइन्दा उसमें इतनी ताक़त आने की उम्मीद है कि रोज़ा रख सकेगा (तो शैख़े फ़ानी है)

मुकातब :— आक़ा अपने ग़ुलाम से माल की एक मिक़दार मुक़र्रर करके यह कहदे कि इतना अदा करदे तो आज़ाद है और ग़ुलाम उसको क़बूल भी करले तो ऐसे ग़ुलाम को मुकातब कहते हैं।

अय्यामे तशरीक़ :— यौमे नहर (क़ुर्बानी) यानी दस ज़िलहिज्जा के बाद के तीन दिन (11,12,13) को अय्यामे तशरीक़ कहते हैं।

साहिबैन :— फ़िक़्ह हन्फ़ी में इमाम अबू'यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि तआ़ला अलैहिमा को साहिबैन कहते हैं।

असहाबे फ़राइज़ :— इससे मुराद वह लोग हैं जिनका मुअ़य्यन हिस्सा क़ुर्आन व हदीस़ में बयान कर दिया गया है। उनको असहाबे फ़राइज़ कहते हैं।

अस्बा :— इससे मुराद वह लोग हैं जिनका हिस्सा मुक़र्रर नहीं अल'बत्ता असहाबे फ़राइज़ को देने के बाद बचा हुआ माल लेते हैं और असहाबे फ़राइज़ न हों तो मय्यित का तमाम माल उनहीं का होता है।

ज़विल'अरहाम :— क़रीबी रिश्तेदार इससे मुराद वह रिश्तेदार हैं जो न तो असहाबे फ़राइज़ में से हैं और न ही असबात में से हैं।

लहद :— क़ब्र खोदकर उसमें क़िब्ले की तरफ़ मय्यित के रखने की जगह बनाने को लहद कहते हैं।

शुफ़आ़ :— ग़ैर मन्क़ूल जायदाद को किसी शख़्स ने जितने में ख़रीदा उतने ही में उस जायदाद के मालिक होने का हक़ जो दूसरे शख़्स को हासिल होजाता है उसको शुफ़आ़ कहते हैं।

जमाअ़ते नवाफ़िल बित्तदाई :— तदाई का लुग़वी मा'ना है एक दूसरे को बुलाना जमा करना, और तदाई के साथ जमाअ़त का मतलब है कि कम से कम चार आदमी एक इमाम की इक़्तिदा करें।

दारुल'हर्ब :— वह दार जहाँ कभी इस्लामी हुकूमत न हुई या हुई और फिर ऐसी ग़ैर क़ौम का तसल्लुत होगया जिसने शआइरे इस्लाम मिस्ल जुमा व ईदैन व अज़ान व इक़ामत व जमाअ़त यक लख़्त उठा दिये और शआइरे कुफ़्र जारी करदिये, और कोई शख़्स अमाने अव्वल पर बाक़ी न रहे और वह जगह चारों तरफ़ से दारुल'इस्लाम में घिरी हुई नहीं तो वह दारुल'हर्ब है।

दारुल'इस्लाम दारुल'हर्ब होने की शराइत :— दारुल'इस्लाम के दारुल'हर्ब होने की तीन शर्तें हैं (1) अहले शिर्क के अहकाम खुल्लम खुल्ला जारी हों और इस्लामी अहकाम बिल्कुल जारी न हों (2) दारुल'हर्ब से उसका इत्तिसाल होजाये (3) कोई मुस्लिम या ज़िम्मी अमाने अव्वल पर बाक़ी न हो।

दारुल'इस्लाम :— वह मुल्क है कि फ़िल'हाल उसमें इस्लामी सल्तनत हो या अब नहीं तो पहले थी और ग़ैर मुस्लिम बादशाह ने उसमें शआइरे इस्लाम मिस्ल जुमा व ईदैन व अज़ान व इक़ामत व जमाअ़त बाक़ी रखे हों तो वह दारुल'इस्लाम है।

सलातुल' अव्वाबीन :— नमाज़े मग़रिब के बाद छः रकात नफ़्ल पढ़ना।

तहिय्यतुल'मस्जिद :— किसी शख़्स का मस्जिद में दाख़िल होकर बैठने से पहले दो या चार रकात नमाज़ पढ़ना।

तहिय्यतुल'वुज़ू :— वुज़ू के बाद अअ़ज़ा ख़ुश्क होने से पहले दो रकात नमाज़ पढ़ना।

नमाज़े इशराक़ :— फ़ज्र की नमाज़ पढ़कर सूरज निकलने के कम से कम 20 मिनट बाद दो रकात नफ़्ल अदा करना।

नमाज़े चाश्त :— आफ़ताब बलन्द होने से ज़वाल यानी निस्फ़ुन्नहारे शरई तक दो या चार या बारह रकात नवाफ़िल पढ़ना।

नमाज़े वापसी सफ़र :— सफ़र से वापस आकर मस्जिद में दो रकातें अदा करना।

सलातुल्लैल :— एक रात में बाद नमाज़े इशा जो नवाफ़िल पढ़े जायें उनको सलातुल्लैल कहते हैं।

नमाज़े तहज्जुद :— नमाज़े इशा पढ़कर सोने के बाद सुबह सादिक़ तुलूअ़ होने से पहले जिस वक़्त आँख खुले उठकर नवाफ़िल पढ़ना नमाज़े तहज्जुद है।

नमाज़े इस्तिख़ारा :— जिस काम के करने न करने में शक हो उसको शुरूअ़ करने से पहले दो रकात नफ़्ल पढ़ना फिर दुआ–ए–इस्तिख़ारा करना।

सलातुत्तस्बीह :— चार रकात नफ़्ल जिसमें तीन सौ मर्तबा सुब्हानल्लाह वल'हम्दुलिल्लाहि वला'इला'ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ना।

नमाज़े हाजत :— कोई अहम मुआ़मला दरपेश हो तो उसकी ख़ातिर मख़्सूस तरीक़े के मुताबिक़ दो या चार रकात नमाज़ पढ़ना।

सलातुल'असरार (नमाज़े ग़ौसिया):— ग़ौसे आज़म रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मन्क़ूल दो रकात नमाज़ जो मग़रिब के बाद किसी हाजत के लिये पढ़ी जाये।

नमाज़े तौबा :— तौबा व इस्तिग़फ़ार की ख़ातिर नवाफ़िल अदा करना।

सलातुर्रगाइब :– रजब की पहली शबे जुमा बाद नमाज़े मग़रिब के बारह रकात नफ़्ल मख़्सूस तरीक़े से अदा करना।

सजदए शुक्र :– किसी नेमत के मिलने पर सजदा करना।

हिस्सा पन्जुम की इस्तिलाहात

हाजते अस्लिया :– ज़िन्दगी बसर करने में आदमी को जिस चीज़ की ज़रूरत हो वह हाजते अस्लिया है मसलन रहने का मकान ख़ानादारी का सामान वग़ैरह।

साइमा :– वह जानवर है जो साल के अकसर हिस्से में चरकर गुज़ारा करता हो और उससे मक़सूद सिर्फ़ दूध और बच्चे लेना या फ़र्बा (मोटा) करना हो।

समन :– बाइअ् और मुश्तरी आपस में जो तय करें उसे समन कहते हैं।

क़ीमत :– किसी चीज़ की वह हैसियत जो बाज़ार के निर्ख़ के मुताबिक़ हो उसे क़ीमत कहते हैं।

वक़्फ़ :– किसी शय को अपनी मिल्क से ख़ारिज करके ख़ालिस अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की मिल्क करदेना इस तरह कि उसका नफ़ा ख़ुदा के बन्दों में से जिसको चाहे मिलता रहे।

साअ् :– साअ् आठ रित्ल का होता है। दो सौ सत्तर तोले का होता है। तक़रीबन चार किलो एक सौ ग्राम।

रित्ल :– बीस इस्तार का होता है।

इस्तार :– साढ़े चार मिस्क़ाल का होता है।

मिस्क़ाल :– साढ़े चार माशे का वज़न।

माशा :– आठ रत्ती का वज़न।

रत्ती :– आठ चावल का वज़न।

तोला :– बारह माशे का वज़न।

तलाक़े बाइन :– वह तलाक़ जिसकी वजह से औरत मर्द के निकाह से फ़ौरन निकल जाती है।

ख़ुला :– औरत से कुछ माल लेकर इसका निकाह ज़ाइल करदेना ख़ुला कहलाता है।

दैन क़वी :– वह दैन जिसे उर्फ़ में दस्त गर्दां कहते हैं जैसे क़र्ज़, माले तिजारत का समन वग़ैरह।

दैन मुतवस्सित :– वह दैन जो किसी माल ग़ैर तिजारती का बदल हो, मसलन घर का गल्ला या कोई और शय हाजते अस्लिया की बेचडाली और उसके दाम ख़रीदार पर बाक़ी हैं।

दैन ज़ईफ़ :– वह दैन जो ग़ैर माल का बदल हो मसलन बदले ख़ुलअ् वग़ैरह।

आशिर :– जिसे बादशाहे इस्लाम ने रास्ते पर मुक़र्रर करदिया हो कि तुज्जार जो माल लेकर गुज़रें उनसे सदक़ात वुसूल करे।

इजारा :– किसी शय के नफ़ा का एवज़ के मुक़ाबिल किसी शख़्स को मालिक करदेना इजारा है।

इजारा फ़ासिद :– इससे मुराद वह अक़्दे फ़ासिद है जो अपनी अस्ल के लिहाज़ से शरअ् के मुवाफ़िक़ हो मगर उसमें कोई वस्फ़ ऐसा हो जिसकी वजह से (अक़्द) नामशरूअ् हो मसलन मकान किराये पर देना और मरम्मत की शर्त मुस्ताजिर (उजरत पर लेने वाले) के लिये लगाना यह इजारा फ़ासिद है।

ख़्यारे शर्त :– बाइअ् और मुश्तरी का अक़्द में यह शर्त करना कि अगर मन्ज़ूर न हुआ तो बैअ् बाक़ी न रहेगी उसे ख़्यारे शर्त कहते हैं।

दैने मीआदी :– ऐसा क़र्ज़ जिसके अदा करने का वक़्त मुक़र्रर हो।

दैने मोअ़ज्जल :– वह क़र्ज़ जिसमें क़र्ज़ देने वाले को हर वक़्त मुतालबे का इख़्तियार होता है।

अय्यामे मन्हिय्या :– यानी ईदुलफ़ित्र, ईदुल अदहा और ग्यारह, बारह, तेरह ज़िलहिज्जा के दिन कि उनमें रोज़ा रखना मना है इसी वजह से उन्हें अय्यामे मन्हिय्या कहते हैं।

अय्यामे बीज़ :– चाँद की 13, 14, 15 तारीख़ के दिन।

ख़्यारे रूयत :– मुश्तरी का बाइअ् से कोई चीज़ बिग़ैर देखे ख़रीदना और देखने के बाद उस चीज़ के पसन्द न आने पर बैअ् के फ़स्ख़ (ख़त्म) करने के इख़्तियार को ख़्यारे रूयात कहते हैं।

ख़्यारे ऐब :– बाइअ् का मबीअ् को ऐब बयान किये बिग़ैर बेचना या मुश्तरी का समन में ऐब बयान किये बिग़ैर चीज़ ख़रीदना और ऐब पर मुत्तला होने के बाद उस चीज़ के वापस करदेने के इख़्तियार को ख़्यारे ऐब कहते हैं।

ख़िराजे मुक़ास्मा :– इससे मुराद यह है कि पैदावार का कोई आधा हिस्सा या तिहाई या चौथाई वग़ैरहा मुक़र्रर हो।

ख़िराजे मुअ़ज़्ज़फ़ :– इससे मुराद यह है कि एक मिक़दार मोअय्यन लाज़िम करदी जाये ख़्वाह रूपये या कुछ और जैसे फ़ारूक़े आ'ज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु ने मुक़र्रर फ़रमाया था।

ज़िम्मी :– उस काफ़िर को कहते हैं जिसके जान व माल की हिफ़ाज़त का बादशाहे इस्लाम ने जिज़्या के बदले ज़िम्मा लिया हो।

मुस्तामिन :– उस काफ़िर को कहते हैं जिसे बादशाहे इस्लाम ने अमान दी हो।

बीघा :– ज़मीन का एक हिस्सा या टुकड़ा जिसकी पैमाइश उमूमन तीन हज़ार पच्चीस गज़ मुरब्बा होती है

जरीब :– जरीब की मिक़दार अंग्रेज़ी गज़ से 35 गज़ लम्बाई और 35 गज़ चौड़ाई है।

बैअ् वफ़ा :— इसतौर पर बैअ् करना कि जब बाइअ् मुश्तरी को समन वापस करे तो मुश्तरी मबीअ् को वापस करदे।
फ़क़ीर :— वह शख़्स है जिसके पास कुछ हो मगर न इतना कि निसाब को पहुँच जाये या निसाब की मिक़दार हो तो उसकी हाजते अस्लिया में इस्तेअ्माल होरहा हो।
मिस्कीन :— वह है जिसके पास कुछ न हो यहाँ तक कि खाने और बदन छुपाने के लिये उसका मोहताज है कि लोगों से सुवाल करे।
आमिल :— वह है जिसे बादशाहे इस्लाम ने ज़कात और उश्र वुसूल करने के लिये मुक़र्रर किया हो।
ग़ारिम :— इससे मुराद मदयून है (मक़रूज़) हैं यानी उसपर इतना दैन हो कि उसे निकालने के बाद निसाब बाक़ी न रहे।
इब्ने सबील :— ऐसा मुसाफ़िर जिसके पास माल न रहा हो अगरचे उसके घर में माल मौजूद हो।
महरे मोअज्जल :— वह महर जो ख़लवत से पहले देना क़रार पाये।
महरे मोअज्जल :— वह महर जिसके लिये कोई मीआद मुक़र्रर हो।
बनी हाशिम :— इनसे मुराद हज़रत अली व जाफ़र व अक़ील और हज़रत अब्बास व हारिस् बिन अब्दुल मुत्तलिब की औलादें हैं।
उम्मे वलद :— वह लौन्डी जिसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ और मौला ने इकरार किया कि यह मेरा बच्चा है।
सौमे दाऊद अलैहिस्सलाम :— इससे मुराद एक दिन रोज़ा रखना और एक दिन इफ़तार करना है।
सौमे सुकूत :— ऐसा रोज़ा जिसमें कुछ बात न करे।
सौमे विसाल :— रोज़ा रखकर इफ़तार न करना और दूसरे दिन फिर रोज़ा रखना।
सौमे दहर :— यानी हमेशा रोज़ा रखना।
यौमुश्शक :— वह दिन जो उन्तीसवीं शाबान से मिला हुआ होता है और चाँद के पोशीदा होने की वजह से उस तारीख़ के मालूम होने में शक होता है यानी यह मालूम नहीं होता कि तीस शाबान है या एक रमज़ान। इसी वजह से उसे यौमुश्शक कहते हैं।
मस्तूर :— पोशीदा, मख़्फ़ी वह शख़्स जिसका ज़ाहिर हाल शरअ् के मुताबिक़ हो मगर बातिन का हाल मालूम न हो।
शहादत अलश्शहादत :— इससे मुराद यह है कि जिस चीज़ को गवाहों ने ख़ुद न देखा बल्कि देखने वालों ने उनके सामने गवाही दी और अपनी गवाही पर उन्हें गवाह किया उन्होंने उस गवाही की गवाही दी।
इकराहे शरई :— इकराहे शरई यह है कि कोई शख़्स किसी को सहीह धमकी दे कि अगर तू फ़ुलां काम न करेगा तो मैं तुझे मार डालूँगा या हाथ पाँव तोड़ दूँगा या नाक, कान वग़ैरह कोई उज़ू (बदन का हिस्सा) काट डालूँगा या सख़्त मार मारूँगा और वह यह समझता हो कि यह कहने वाला जो कुछ कहता है कर गुज़रेगा, तो यह इकराहे शरई है।
मस्जिदे बैत :— घर में जो जगह नमाज़ के लिये मुक़र्रर की जाये उसे मस्जिदे बैत कहते हैं।
ज़िहार :— अपनी ज़ौजा या उसके किसी जुज़ या शाइअ् या ऐसे जुज़ को जो कुल से ताबीर किया जाता हो ऐसी औरत से तशबीह देना जो उसपर हमेशा के लिये हराम हो या उसके किसी ऐसे उज़ू से तशबीह देना जिसकी तरफ़ देखना हराम हो, मसलन कहा तू मुझपर मेरी माँ की मिस्ल है या तेरा सर या तेरी गर्दन या तेरा निस्फ़ मेरी माँ की पीठ की मिस्ल है।

हिस्सा छः की इस्तिलाहात

अशहरे हज :— हज के महीने यानी शव्वाल व ज़िलक़ादा दोनों मुकम्मल और ज़ुलहिज्जा के इब्तिदाई दस दिन।
एहराम :— जब हज या उमरा या दोनों की नियत करके तल्बिया पढ़ते हैं तो बाज़ हलाल चीज़ें भी हराम होजाती हैं इस लिये उसको एहराम कहते हैं। और मजाज़न उन बिग़ैर सिली चादरों को भी एहराम कहा जाता है जिनको एहराम की हालत में इस्तेअ्माल किया जाता है।
तल्बिया :— वह विर्द जो उमरा और हज के दौरान हालते एहराम में किया जाता है। यानी "लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक आख़िर तक पढ़ना।
इस्तिबाअ् :— एहराम की ऊपर वाली चादर को सीधी बग़ल से निकाल कर इसतरह उल्टे कन्धे पर डालना कि सीधा कन्धा खुला रहे।
रम्ल :— तवाफ़ के इब्तिदाई तीन फेरों में अकड़कर शाने हिलाते हुए छोटे-छोटे क़दम उठाते हुए थोड़ी तेज़ी से चलना।
तवाफ़ :— ख़ाना-ए-काबा के गिर्द सात चक्कर या फेरे लगाना एक चक्कर को "शौत" कहते हैं जमा "अशवात"।
मताफ़ :— जिस जगह में तवाफ़ किया जाता है।
तवाफ़े क़ुदूम :— मक्का-ए-मोअज़्ज़मा में दाख़िल होने पर पहला तवाफ़ यह इफ़राद या क़िरान की नियत से हज करने वालों के लिये सुन्नते मोअक्कदा है।
तवाफ़े ज़्यारत :— इसे तवाफ़े इफ़ाज़ा भी कहते हैं। यह हज का रुक्न है इसका वक़्त दस ज़ुलहिज्जा की सुबह सादिक़ से बारह ज़ुलहिज्जा ग़ुरूब आफ़ताब तक है मगर दस ज़ुलहिज्जा को करना अफ़ज़ल है।
तवाफ़े वदाअ् :— हज के बाद मक्का-ए-मुकर्रमा से रुख़्सत होते हुए किया जाता है। यह हर "आफ़ाक़ी हाजी पर वाजिब है।
तवाफ़े उमरा :— यह उमरा करने वालों पर फ़र्ज़ है।

इस्तिलाम :— हजरे असवद को बोसा देना या हाथ या लकड़ी से छूकर हाथ या लकड़ी को चूम लेना या हाथों से उसकी तरफ़ इशारा करके उन्हें चूम लेना।

सई :— सफ़ा और मरवा के दरम्यान सात फेरे लगाना (सफ़ा से मरवा तक एक फेरा होता है यूं मरवा पर सात चक्कर पूरे होंगे)

रमी :— जमरात (यानी शैतानों) पर कंकरियां मारना।

हल्क़ :— एहराम से बाहर होने के लिये हुदूदे हरम ही में पूरा सर मुन्डवाना।

क़स्र :— चौथाई सर का हर बाल कम से कम उंगली के एक पोरे के बराबर कतरवाना।

मस्जिदे हराम :— वह मस्जिद जिसमें काबा शरीफ़ है।

बाबुस्सलाम :— मस्जिदे हराम का वह दरवाज़ा मुबारका जिसमें पहली बार दाख़िल होना अफ़ज़ल है और यह पूरब की जानिब वाक़ेअ् है।

काबा :— इसे बैतुल्लाह भी कहते हैं यानी अल्लाह तआला का घर यह पूरी दुनिया के वस्त, सेन्टर में वाक़ेअ् है। और सारी दुनिया के लोग इसी की तरफ़ रुख करके नमाज़ अदा करते हैं और मुसलमान परवानावार उसका तवाफ़ करते हैं।

रुक्ने असवद :— जुनूब व मश्रिक़ के कोने में वाक़ेअ् है इसी में जन्नती पत्थर "हजरे असवद" नसब है।

रुक्ने इराक़ी :— यह इराक़ की सिम्ते शिमाल मश्रिक़ी कोना है।

रुक्ने शामी :— यह मुल्के शाम की सिम्ते शिमाल मग़रिबी कोना है।

रुक्ने यमानी :— यह यमन की जानिब मग़रिबी कोना है।

बाबुल'काबा :— रुक्ने असवद और रुक्ने इराक़ी के बीच की मश्रिक़ी दीवार में ज़मीन से काफ़ी बलन्द सोने का दरवाज़ा है।

मुल्तज़म :— रुक्ने असवद और बाबुल'काबा की दरम्यानी दीवार।

मुस्तजार :— रुक्ने यमानी और शामी के बीच में मग़रिबी दीवार का वह हिस्सा जो "मुल्तज़म" के मुक़ाबिल यानी ऐन पीछे की सीध में वाक़ेअ् है।

मुस्तजाब :— रुक्ने यमानी और रुक्ने असवद के बीच की जुनूबी दीवार यहाँ सत्तर हज़ार फ़िरिश्ते दुआ पर आमीन कहने के लिये मुक़र्रर हैं। इसी लिये सय्यिदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ रहतुल्लाहि अलैहि ने इस मक़ाम का नाम "मुस्तजाब" (यानी दुआ की मक़बूलियत का मक़ाम) रखा है।

हतीम :— काबा मुअज़्ज़मा की शिमाली दीवार के पास निस्फ़ दाइरे की शक्ल में फ़सील (यानी बाउन्डरी) के अन्दर का हिस्सा हतीम काबा शरीफ़ ही का हिस्सा है और उसमें दाख़िल होना ऐन काबतुल्लाह शरीफ़ में दाख़िल होना है।

मीज़ाबे रहमत :— सोने का परनाला यह रुक्ने इराक़ी व शामी की शिमाली दीवार पर छत पर नसब है इससे बारिश का पानी हतीम में निछावर होता है।

मक़ामे इब्राहीम :— दरवाज़ए काबा के सामने एक कुब्बा में वह जन्नती पत्थर जिस पर खड़े होकर हज़रत सय्यिदुना इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ़ की इमारत तामीर की और यह हज़रत सय्यिदुना इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का ज़िन्दा मोअ्जिज़ा है कि आज भी उस मुबारक पत्थर पर आप के क़दमैन शरीफ़ैन के नक़्श मौजूद हैं।

बेअ्रे ज़म'ज़म मक्का मोअज़्ज़मा का वह मुक़द्दस कुआं जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के आलमे तुफ़ूलियत (बचपन) में आप के नन्हें नन्हें मुबारक क़दमों की रगड़ से जारी हुआ था। उसका पानी देखना, पीना और बदन पर डालना सवाब और बीमारियों के लिये शिफ़ा है। यह मुबारक कुआं मक़ामे इब्राहीम से जुनूब में वाक़ेअ् है।

बाबुस्सफ़ा :— मस्जिदे हराम जुनूबी दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। जिसके नज़्दीक "कोहे सफ़ा" है।

कोहे सफ़ा :— काबा मोअज़्ज़मा के जुनूब में वाक़ेअ् है और यहीं से सई शुरूअ् होती है।

कोहे मरवा :— कोहे सफ़ा के सामने वाक़ेअ् है। सफ़ा से मरवा तक पहुँचने पर सई का एक फेरा ख़त्म होजाता है और सातवाँ फेरा यहीं मरवा पर ख़त्म होता है।

मीलैन :— यानी दो सब्ज़ निशान सफ़ा से मरवा की जानिब कुछ दूर चलने के बाद थोड़े थोड़े फ़ासिले पर दोनों तरफ़ की दीवारों और छत में सब्ज़ लाइटें लगी हुई हैं। इब्तिदा और इन्तिहा पर फ़र्श भी सब्ज़ मारबल का पटा बना हुआ है। इन दोनों सब्ज़ निशानों के दरम्यान सई के दौरान मर्दों को दौड़ना पड़ता है।

मस्आ :— मीलैन अख़्ज़रैन (दोनों हरे मील) का दरम्यानी फ़ासिला जहाँ सई के दौरान मर्द को दौड़ना सुन्नत है।

मीक़ात :— उस जगह को कहते हैं कि मक्का मोअज़्ज़मा जाने वाले आफ़ाक़ी को बिग़ैर एहराम वहाँ से आगे जाना जाइज़ नहीं, चाहे तिजारत या किसी भी ग़रज़ से जाता हो। यहाँ तक कि मक्का मुकर्रमा के रहने वाले भी अगर मीक़ात की हदों से बाहर (मसलन ताइफ़ या मदीना मुनव्वरा) जायें तो उन्हें भी अब बिग़ैर एहराम मक्का मुकर्रमा आना ना'जाइज़ है।

ज़ुल'हुलैफ़ा :— मदीना शरीफ़ से मक्का पाक की तरफ़ तक़रीबन दस किलो मीटर पर है जो मदीना मुनव्वरा की तरफ़ से आने वालों के लिये "मीक़ात" है अब इस जगह का नाम अबयारे अली है।

ज़ाते इर्क़ :— इराक़ की तरफ़ से आने वालों के लिये मीक़ात है।

यलम'लम :— पाकिस्तान व हिन्दुस्तान वालों के लिये मीक़ात है।

जोहफ़ा :– मुल्के शाम की तरफ़ से आने वालों के लिये मीक़ात है।
क़र्नुल'मनाज़िल :– नज्द (मौजूदा रियाज़) की तरफ़ आने वालों के लिये मीक़ात है। यह जगह ताइफ़ के क़रीब है।
मीक़ाती :– वह शख़्स जो मीक़ात की हुदूद के अन्दर रहता हो।
आफ़ाक़ी :– वह शख़्स जो मीक़ात की हुदूद से बाहर रहता हो।
तन्ईम :– वह जगह जहाँ से मक्का मुकर्रमा में क़याम के दौरान उमरे के लिये एहराम बान्धते हैं और यह मकाम मस्जिदुल'हराम से तक़रीबन सात किलो मीटर मदीना मुनव्वरा की जानिब है अब यहाँ मस्जिदे आयशा बनी हुई है। इस जगह को लोग "छोटा उमरा" कहते हैं।
जेअ़राना :– मक्का मुकर्रमा से तक़रीबन छब्बीस किलो मीटर दूर ताइफ़ के रास्ते पर वाक़ेअ़ है यहाँ से भी दौराने क़यामे मक्का शरीफ़ उमरा का एहराम बान्धा जाता है इस मक़ाम को अवाम 'बड़ा उमरा' कहते हैं।
हरम :– मक्का मोअ़ज़्ज़मा के चारों तरफ़ मीलों तक उसकी हुदूद हैं और यह ज़मीन हुरमत व तक़द्दुस की वजह से हरम कहलाती है हर जानिब उसकी हुदूद पर निशान लगे हैं हरम के जंगल का शिकार करना और ख़ुद से पैदा होने वाले दरख़्त और तर घास काटना, हाजी, ग़ैर हाजी सब के लिये हराम है। जो शख़्स हुदूदे हरम में रहता हो उसे "हरमी" या "अहले हरम" कहते हैं।
हिल :– हुदूदे हरम से बाहर मीक़ात तक की ज़मीन को "हिल" कहते हैं इस जगह वह चीजें हलाल हैं जो हरम में हराम हैं जो शख़्स ज़मीने हिल का रहने वाला हो उसे "हिल्ली" कहते हैं।
मिना :– मस्जिदे हराम से पाँच कि0मी0 पर वह वादी जहाँ हाजी साहिबान क़याम करते हैं "मिना" हरम में शामिल है।
जमरात :– मिना में तीन मक़ामात जहाँ कंकरियां मारी जाती हैं पहले का नाम जमरतुल'अक़बा है उसे बड़ा शैतान भी कहते हैं दूसरे को जमरतुल'वुस्ता (मंझला शैतान) और तीसरा को जमरतुल'ऊला (छोटा शैतान) कहते हैं।
अ़रफ़ात :– मिना से तक़रीबन ग्यारह कि0मी0 दूर मैदान जहाँ ज़ुल'हिज्जा को तमाम हाजी साहिबान जमा होते हैं। अरफ़ात हरम से ख़ारिज है।
जबले रहमत :– अरफ़ात का वह मुक़द्दस पहाड़ जिसके क़रीब वुक़ूफ़ करना अफ़ज़ल है।
मुज़्दलफ़ा :– मिना से अ़रफ़ात की तरफ़ तक़रीबन पाँच कि0मी0 पर वाक़ेअ़ मैदान जहाँ अ़रफ़ात से वापसी पर रात बसर करते हैं सुन्नत और सुबह सादिक़ और तुलूअ़ आफ़ताब के दरम्यान कम से कम एक लम्हा वुक़ूफ़ वाजिब है।
महस्सिर :– मुज़्दलफ़ा से मिला हुआ मैदान, यहीं असहाबे फ़ील पर अ़ज़ाब नाज़िल हुआ था। यहाँ से गुज़रते वक़्त तेज़ी से गुज़रना सुन्नत है।
बत्ने उ़रना :– अ़रफ़ात के क़रीब एक जंगल जहाँ हाजी का वुक़ूफ़ दुरुस्त नहीं।
मदआ़ :– मस्जिदे हराम और मक्का मुकर्रमा के क़ब्रिस्तान "जन्नतुल'मुअ़ल्ला" के दरम्यान जगह जहाँ दुआ मांगना मुस्तहब है।
दम :– यानी एक बकरा (इसमें नर, मादा, दुंबा, भेड़ काभिल, और गाय, ऊँट का सातवाँ हिस्सा भी शामिल है)
बदना :– यानी ऊँट या गाय। यह तमाम जानवर उन्हीं शराइत के हों जो क़ुर्बानी में हैं।
सदक़ा :– यानी सदक़ा–ए–फ़ित्र की मिक़दार (आज कल के हिसाब से दो किलो तक़रीबन पचास ग्राम गेहूँ या उसका आटा या उसकी रक़म या उसके दुगने जौ या खजूर या उसकी रक़म)
मरज़ुल'मौत :– किसी मर्ज़ के मरज़ुल'मौत होने के लिये दो बातें शर्त हैं। एक यह कि उस मर्ज़ में ख़ौफ़े हलाक व अन्देशाए मौत क़ुव्वत व ग़लबे के साथ हो, दोम यह कि उस ग़लबए ख़ौफ़ की हालत में उसके साथ मौत मुत्तसिल हो अगर्चे उस मर्ज़ से न मरे, मौत का सबब कोई और होजाये।
मुदब्बर :– वह ग़ुलाम जिसकी निस्बत मौला ने कहा कि तू मेरे मरने के बाद आज़ाद है।
हज्जे बदल :– नियाबतन (नायब बनकर) दूसरे की तरफ़ से हज्जे फ़र्ज़ अदा करना कि उसपर फ़र्ज़ को साक़ित करे।
नहर :– ऊँट को खड़ा करके सीने में गले की इन्तिहा पर तकबीर कहकर नेज़ा मारना उसको नहर कहते हैं।
इलमामे सहीह :– मुतमत्तेअ़ का उमरा के बाद एहराम खोलकर अपने वतन को वापस जाना।
जुर्मे ग़ैर इख़्तियारी :– अगर बीमारी सख़्त सर्दी, सख़्त गर्मी, फोड़े और ज़ख़्म या जुओं की सख़्त तकलीफ़ की वजह से कोई जुर्म हुआ उसे जुर्मे ग़ैर इख़्तियारी कहते हैं।
चार पहर :– इससे मुराद एक दिन या एक रात की मिक़दार मुराद है मसलन तुलूअ़ आफ़ताब से ग़ुरूब आफ़ताब और ग़ुरूब आफ़ताब से तुलूअ़ आफ़ताब या दोपहर से आधी रात या आधी रात से दोपहर तक।
मोहसर :– जिसने हज या उमरा का एहराम बान्धा मगर किसी वजह से पूरा न कर सका उसे मोहसर कहते हैं।
हदी :– उस जानवर को कहते हैं जो क़ुर्बानी के लिये हरम को लेजाया जाये।
मुद :– एक पैमाना जो वज़न में दो रित्ल होता है।
हज्जे क़िरान :– हज व उमरा (दोनों) के एहराम की नियत करे उसे क़िरान कहते हैं और इस हज करने वाले को

क़ारिन कहते हैं।

हज्जे तमत्तोअ़् :– मक्का मोअ़ज़्ज़मा में पहुँचकर अशहरुल'हज (यकुम शव्वाल से दस ज़िल'हिज्जा) में उ़मरा करके वहीं से हज का एहराम बान्धे इसे तमत्तोअ़् कहते हैं और इस हज करने वाले को मुतमत्तेअ़् कहते हैं।

हज्जे इफ़राद :– जिसमें सिर्फ़ हज किया जाता है। उसे हज्जे इफ़राद कहते हैं और इस हज करने वाले को मुफ़्रिद कहते हैं।

ज़ादे राह :– तोशा और सवारी उसके मा़ना यह हैं कि यह चीजें उसकी ह़ाजत यानी मकान व लिबास और ख़ानादारी के सामान वग़ैरह और क़र्ज़ से इतनी ज़्यादा हों कि सवारी पर जाये और वहाँ से सवारी पर वापस आये और जाने से वापसी तक अ़याल का नफ़क़ा और मकान की मरम्मत के लिये काफ़ी माल छोड़जाये।

जिनायत :– इससे मुराद वह फ़ेअ़्ल है जो ह़रम या एह़राम की वजह से मना हो जैसे एह़राम की ह़ालत में शिकार करना, ह़रम में किसी जानवर को क़त्ल करना।

ज़िल'हलीफ़ा :– मदीना मुनव्वरा से तीन मील के फ़ासिले पर एक मक़ाम का नाम है यही ज़्यादा स़ह़ीह़ है।

जिल्दे दोम (हिस्सा 7 से 13) की इस्तिलाह़ात, हुरूफ़ यानी अक्षरों के एअ़्तिबार से

अ,इ से शुरूअ़् होने वाले शब्द

इजारह :– किसी शय के नफ़ा के एवज़ के मक़ाबिल किसी शख़्स को मालिक करदेना इजारह है।

उजरते मिस्ल :– किसी को किसी काम की वह उजरत (मज़दूरी) देना जो उस काम के करने वाले को आ़मतौर पर दीजाती है।

अख़्याफ़ी :– माँ शरीक बहन भाई यानी जिनकी माँ एक हो और बाप अलग–अलग हों।

अरकाने बैअ़् :– बैअ़् अगर क़ौल से हो तो उसके अरकान ईजाब व क़बूल हैं मसलन एक ने कहा मैंने बेचा, दूसरे ने कहा मैंने ख़रीदा, बैअ़् अगर क़ौल से न हो बल्कि फ़ेअ़्ल से हो तो चीज़ का लेलेना और देदेना उसके अरकान हैं और यह ईजाब व क़बूल के क़ाइम मक़ाम हैं।

इस्तिबरा :– यानी पेशाब करने के बाद ऐसा काम करना कि अगर क़तरा रुका हो तो गिरजाये।

इस्तिबरा :– मालिक का अपनी लौन्डी से शरीअ़त की मुक़र्रर कर्दा मुद्दत तक जिमा न करना ताकि रह़म का नुत्फ़े से ख़ाली होना वाज़ेह़ होजाये।

इस्तिह़ाज़ा :– बालिग़ा औ़रत के आगे के मक़ाम से बीमारी की वजह से जो ख़ून निकलता है उसे इस्तिह़ाज़ा कहते हैं।

इस्तिस्नाअ़् :– कारीगर को फ़रमाइश देकर चीज़ बनवाना, आर्डर पर चीज़ बनवाना।

असहाबे फ़राइज़ :– देखिये ज़विल'फ़ुरूज़।

असील :– जिसपर मुतालबा है यानी मक़रूज़ असील व मकफ़ूल अ़न्हु है।

इक़ाला :– दो शख़्सों के माबैन जो अ़क़्द हो उसके उठादेने को इक़ाला कहते हैं, इक़ाला में दूसरे को क़बूल करना ज़रूरी है तन्हा एक शख़्स इक़ाला नहीं कर सकता है।

इकराह शरई :– इकाराह (जब्र करना) के मा़ना यह हैं कि किसी के साथ नाहक़ ऐसा फ़ेअ़्ल करना कि वह शख़्स ऐसा काम करे जिसको वह करना नहीं चाहता और कभी मुकरेह (मजबूर करने वाले) की जानिब से कोई ऐसा फ़ेअ़्ल नहीं किया जाता जिसकी वजह से मुकरह (जिसे मजबूर किया जाये) अपनी मरज़ी के ख़िलाफ़ करे मगर मुकरह जानता है कि यह शख़्स ज़ालिम है जो कुछ कहता है अगर मैंने नहीं किया तो मुझे मार डालेगा इस सूरत में भी इकराह है।

उम्मे वलद :– वह लौन्डी जिसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ और मौला ने इक़रार किया कि यह मेरा बच्चा है।

अय्यामे तशरीक़ :– दस ज़ुल'हिज्जा के बाद के तीन दिन (11,12,13) को अय्यामे तशरीक़ कहते हैं

अय्यामे मनहिय्या :– ईदुलफ़ित्र, ईदुलअदहा और ग्यारह, बारह, तेरह ज़ुलहिज्जा के दिन कि उनमें रोज़ा रखना मना है इसी वजह से उन्हें अय्यामे मनहिय्या कहते हैं।

ईजाब व क़बूल :– निकाह (अ़क़्द) करने वालों में से पहले का कलाम ईजाब और दूसरे का क़बूल कहलाता है।

ईला :– शौहर का यह क़सम खाना कि औ़रत से क़ुर्बत न करेगा।

ईलाए मोअब्बद :– ऐसा ईला जिसमें चार महीने की क़ैद न हो।

ईलाए मोअक़्क़त :– ऐसा ईला जिसमें चार महीने की क़ैद हो

आइसा :– वह औ़रत ऐसी उ़म्र को पहुँचजाये कि अब उसे हैज़ नहीं आयेगा।

बाइअ़् :– कोई भी चीज़ बेचने वाले को बाइअ़् कहते हैं।

बदले ख़ुला :– जो माल ख़ुला के बदले में दिया जाये उसे बदले ख़ुला कहते हैं।

बदले किताबत :– मुकातब (ग़ुलाम) अपनी आज़ादी के लिये मालिक की त़रफ़ से मुक़र्रर शुदा जो माल अदा करता है उसे बदले किताबत कहते हैं।

बिक्र :– कुंवारी, बिक्र वह औ़रत है जिससे निकाह के साथ वती न कीगई हो अगर्चे ज़िना से या किसी और वजह से बुकारत ज़ाइल होगई हो तब भी कुंवारी ही कहलायेगी।

बैतुल'माल :– इस्लामी हुकूमत का खज़ाना जो मुसलमानों की फ़लाह व बहबूद में ख़र्च किया जाता है।

बैअ् :– इस्तिलाहे शरअ् में बैअ् के माना यह हैं कि दो शख़्सों का बाहम माल को माल से एक मख़्सूस सूरत के साथ तबादला करना।

बैअ्'बातिल :– जिस सूरत में बैअ् का कोई रुक्न न पाया जाये या वह चीज़ ख़रीद व फ़रोख़्त के क़ाबिल ही न हो वह बैअ् बातिल है।

बैअ्'तआती :– ऐसी बैअ् जिसमें ईजाब व कबूल के बिग़ैर, चीज़ लेलेते हैं और कीमत देदेते हैं ऐसी बैअ् को बैअ् तआती कहते हैं।

बैअ्'तल्जिआ :– बैअ् तल्जिआ यह है कि दो शख़्स और लोगों यानी दूसरे लोगों के सामने ब'ज़ाहिर किसी चीज़ को बेचना, ख़रीदना चाहते हैं मगर उनका इरादा उस चीज़ को बेचने, ख़रीदने का नहीं है।

बैअ् सलम :– वह बैअ् है जिसमें स्मन (क़ीमत) फ़ौरन अदा करना ज़रूरी हो और मबीअ् (फ़रोख़्त शुदा चीज़) को बाद में ख़रीदार के हवाले करना बेचने वाले पर लाज़िम है।

बैअ् सर्फ़ :– बैअ् सर्फ़ यानी स्मन को स्मन के एवज़ बेचना, स्मन से मुराद आम है चाहे स्मन ख़ल्क़ी हो सोना चाँदी या ग़ैर ख़ल्क़ी जैसे पैसा, नोट वग़ैरह।

बैअ् ऐना :– उसकी सूरत यह है कि एक शख़्स ने दूसरे से मसलन दस रूपये कर्ज़ मांगे उसने कहा मैं कर्ज़ नहीं दूँगा अलबत्ता यह कर सकता हूँ कि यह चीज़ तुम्हारे हाथ बारह रूपये में बेचता हूँ अगर तुम चाहो ख़रीदलो इसे बाज़ार में दस रूपये में बेचदेना तुम्हें दस रूपये मिल जायेंगे।

बैअ् फ़ासिद :– अगर रुक्ने बैअ् (यानी ईजाब व कबूल या चीज़ के लेने देने में) या महल्ले बैअ् यानी मबीअ् में ख़राबी न हो बल्कि उसके अलावा कोई और ख़राबी हो तो वह बैअ् फ़ासिद है मसलन मबीअ् यानी जो चीज़ बेची उसको ख़रीदने वाले के हवाले करने पर क़ुदरत न हो वग़ैरह।

बैअ् मुक़ायज़ा :– इससे मुराद वह बैअ् है जिसमें दोनों तरफ़ ऐन हो यानी तबादला ग़ैर नुक़ूद के साथ हो मसलन ग़ुलाम को घोड़े के बदले में बेचना।

बैअ् मक :– रुक्ने बैअ् या महल्ले बैअ् (मबीअ्) में ख़राबी न हो बल्कि शरअ् ने किसी और वजह से मम्नूअ् करार दिया हो मसलन जिन लोगों पर जुमा की नमाज़ वाजिब है उन्हें जुमे की अज़ान के शुरूअ् होने से ख़त्मे नमाज़ तक बैअ् करना मकरूह तहरीमी है।

बैअ् मुज़ाबना :– बैअ् मुज़ाबना यह है कि दरख़्त पर लगे हुए फलों को उसी किस्म के दरख़्त से उतारे हुए फलों के एवज़ बेचना मसलन खजूर पर लगी हुई खजूरें पहले से उतारी हुई खजूरों के बदले बेचना।

बैअ् मुलामसा :– ऐसी बैअ् जो महज़ मुश्तरी के सामान छूने से नाफ़िज़ करदी जाये और इख़्तियार भी बाक़ी न रहे।

बैअ् मुनाबज़ा :– ऐसी बैअ् जिसमें बाइअ् व मुश्तरी बिग़ैर देखे भाले एक दूसरे की तरफ़ सामान व स्मन फेंक देते हैं।

बैउल'वफ़ा :– इस तौर पर बैअ् की जाये कि बाइअ् (बेचने वाला) जब स्मन मुश्तरी (ख़रीदार) को वापस देगा तो मुश्तरी मबीअ् को वापस करदेगा।

बैआना :– बैआना यह है कि ख़रीदार कीमत का कुछ हिस्सा अदा करे और वादा करे कि वह अगर बक़िया रक़म अदा न कर सके या ख़रीदना न चाहे तो उसकी यह रक़म बेचने वाले की होजायेगी। (यानी ज़ब्त होजायेगी)

बीघा :– ज़मीन का एक हिस्सा या टुकड़ा जिसकी पैमाइश तीन हज़ार पच्चीस गज़ मुरब्बा होती है।

पारसा :– मुत्तक़ी, नेक इस्तिलाहे शरअ् में पारसा उस औरत को कहते हैं जिसके साथ वतीए हराम न हुई हो और न ही उसे इसकी तोहमत लगाई गई हो।

तबविया :– ऐसी लौन्डी जिसका निकाह मालिक ने किसी शख़्स से करके उसी के हवाले करदिया हो और उससे ख़िदमत न लेता हो।

तहालुफ़ :– किसी मुआमले में मुद्दई व मुद्दआ'अलैहि दोनों का क़सम खाना।

तहरीफ़ :– अस्ल अलफ़ाज़ या मआनी में तब्दीली करना अगर अलफ़ाज़ में तब्दीली की हो तो तहरीफ़े लफ़्ज़ी और अगर मअ़ना में तब्दीली की हो तो तहरीफ़े मअ़नवी कहते हैं।

तहकीम :– तहकीम के माना हकम बनाना यानी फ़रीक़ैन अपने मुआमले में किसी को इसलिये मुक़र्रर करें कि वह फ़ैसला करे और निज़ाअ् को दूर करदे उसी को पन्च और सालिस् भी कहते हैं।

एक वारिस् बिल'मुक़तअ् (यानी कुल हिस्से के बदले) अपना कुछ हिस्सा लेकर तर्का (मीरास) से निकल जाता है कि अब वह कुछ नहीं लेगा उसको तख़ारुज कहते हैं।

तर्का :– वह माल व जायदाद जो मरने वाला दूसरे के हक़ से ख़ाली छोड़कर मरजाये।

तज़किया :– क़ाज़ी का गवाहों के मुतअल्लिक़ यह तहक़ीक़ करना कि वह आदिल और मोअ्तबर हैं या नहीं तज़किया कहलाता है।

तअ्ज़ीर :– किसी गुनाह पर बग़र्ज़े तादीब (अदब देना) जो सज़ा दीजाती है उसको तअ्ज़ीर कहते हैं।

तअ्लीक़ :– तअ्लीक़ के मअ्ना यह हैं कि किसी चीज़ का होना दूसरी चीज़ के होने पर मौक़ूफ़ किया जाये।

तौलिया :– चीज जितनी कीमत में पड़ी उतनी ही क़ीमत की बेचदेना नफ़ा कुछ न लेना।
समन :– खरीदार और बेचने वाला आपस में शय की जो कीमत मुक़र्रर करें उसे समन कहते हैं।
समने ख़ल्क़ी :– वह समन है जो इसी लिये (यानी समनियत ही के लिये) पैदा किया गया हो चाहे उसमें इन्सानी बनावट दाख़िल हो या न हो जैसे चाँदी सोना और उनके सिक्के और ज़ेवरात यह सब समने ख़ल्क़ी में दाख़िल हैं।
समने ग़ैर ख़ल्क़ी :– समने ग़ैर ख़ल्क़ी वह चीजें हैं कि समनिय्यत के लिये मख़्लूक़ नहीं (यानी अस्ल में समन नहीं थे) मगर लोग उनसे समन का काम लेते हैं समन की जगह इस्तेअ़माल करते हैं जैसे नोट, रूपये वग़ैरह उसको समने इस्तिलाही भी कहते हैं।
सय्यिब :– जो औरत कुंवारी न हो उसे सय्यिब कहते हैं।
जरहे मुजर्रद :– जिससे महज़ गवाह का फ़िस्क़ (यानी गवाही के क़ाबिल न होना) बयान करना मक़सूद हो, हक़्क़ुल्लाह या हक़्क़ुल'अब्द का साबित करना मक़सूद न हो।
जरीब :– जरीब की मिक़दार अंग्रेज़ी गज़ से 35 गज तूल (लम्बाई) और 35 गज़ अर्ज़ (चौड़ाई) है।
जिज़या :– वह शरई महसूल जो इस्लामी हुकूमत कुफ़्फ़ार से उनकी जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के बदले में वसूल करे।
जुनून :– अक़्ल में ऐसे ख़लल होना जिसकी वजह से आदमी के अक़वाल व अफ़आल मामूल के मुताबिक़ न रहें, चाहे यह ख़लल पैदायशी व फ़ितरी तौर पर हो या बाद में किसी मर्ज़ वग़ैरह की वजह से पैदा होजाये।
जुनूने मुतबक़ :– जुनूने मुतबक़ यह है कि मुसलसल एक माह तक रहे।
हाजिब :– वह शख़्स है जिसकी मौजूदगी की वजह से किसी वारिस् (मय्यित की मीरास् पाने वाले) का हिस्सा कम होजाये या बिलकुल ही ख़त्म होजाये।
हद :– हद एक क़िस्म की सज़ा है जिसकी मिक़दार शरीअत की जानिब से मुक़र्रर है कि उसमें कमी, बेशी नहीं होसकती।
हद्दे क़ज़फ़ :– किसी पर ज़िना की तोहमत लगाई और गवाहों से साबित न कर सका इस वजह से तोहमत लगाने वाले को जो शरई सज़ा दीजाती है।
हवाला :– दैन (क़र्ज़) को अपने ज़िम्मे से दूसरे के ज़िम्मे की तरफ़ मुन्तक़िल करदेने को हवाला कहते हैं।
हैज़ :– बालिग़ा औरत के आगे के मक़ाम से जो ख़ून आदी तौर पर निकलता है और बीमारी या बच्चा पैदा होने के सबब से न हो तो उसे हैज़ कहते हैं।
ख़िराज :– वह वज़ीफ़ा जो मुसलमान हाकिम क़ाबिले ज़राअ़त ख़िराजी ज़मीन पर मुक़र्रर कर देता है।
ख़िराजे मुक़ासमा :– इससे मुराद यह है कि (इस्लामी मम्लिकत की ग़ैर मुस्लिम रिआ़या पर उ़श्र की जगह ज़मीनी) पैदावार का निस्फ़ हिस्सा या तिहाई या चौथाई वग़ैरहा मुक़र्रर हो।
ख़िराजे मोअज़्ज़फ़ :– इससे मुराद यह है कि (इस्लामी मम्लिकत की ग़ैर मुस्लिम रिआ़या पर उ़श्र की जगह) एक मिक़दारे मोअय्यन लाज़िम करदी जाये ख़्वाह रूपये या कुछ और जैसे फ़ारूक़े आज़म रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने मुक़र्रर फ़रमाया था।
ख़ुला :– माल के बदले में निकाह ख़त्म करने को ख़ुला कहते हैं।
ख़लवते सहीहा :– मियाँ, बीवी का एक मकान में इस तरह जमा होना कि कोई चीज़ मानेअ़ जिमा न हो।
ख़लवते फ़ासिदा :– मियाँ, बीवी एक जगह तन्हाई में एक जगह जमा हुए मगर कोई मानेअ़ शरई या तब्ई या हिस्सी पाया जाता है तो ख़लवते फ़ासिदा है।
ख़ुन्सा मुश्किल :– जिसमें मर्द व औरत दोनों की अ़लामतें पाई जायें और यह साबित न हो कि मर्द है या औ़रत।
ख़्यारे बुलूग़ :– वह इख़्तियार जो नाबालिग़ को बालिग़ होने पर हासिल होता है कि वह बुलूग़त से पहले किये हुए निकाह को फ़स्ख़ करे या क़ाइम रखे।
ख़्यारे रूयत :– बिग़ैर देखे कोई चीज़ ख़रीदना और देखने के बाद उस चीज़ के पसन्द न आने पर चाहे तो ख़रीदार बैअ़ को फस्ख़ (ख़त्म) करदे उस इख़्तियार को ख़्यारे रूयत कहते हैं।
ख़्यारे शर्त :– बाइअ़ और मुश्तरी को यह हक़ हासिल है कि अ़क़्द में यह शर्त करदें कि अगर मन्ज़ूर न हो तो बैअ़ बाक़ी न रहेगी उसे ख़्यारे शर्त कहते हैं मगर यह इख़्तियार तीन दिन से ज़्यादा का नहीं होसकता।
ख़्यारे इत्क़ :– वह इख़्तियार जो लौन्डी को आज़ाद होने पर हासिल होता है कि वह आज़ाद होने से पहले किये हुए निकाह को चाहे तो फ़स्ख़ करदे चाहे तो क़ाइम रखे।
ख़्यारे ऐब :– बाइअ़ का मबीअ़ को ऐब बयान किये बिग़ैर बेचना या मुश्तरी का समन में ऐब बयान किये बिग़ैर चीज़ ख़रीदना और ऐब पर मुत्तलअ़ होने के बाद उस चीज़ के वापस करदेने के इख़्तियार को ख़्यारे एब कहते हैं।
दारुल'इस्लाम :– वह मुल्क है कि फ़िलहाल उसमें इस्लामी सल्तनत हो या अब नहीं तो पहले थी और ग़ैर मुस्लिम बादशाह ने उसमें शआ़इरे इस्लाम मिस्ल जुमा व ईदैन व अज़ान व इक़ामत व जमाअ़त बाक़ी रखे (तो भी दारुल'इस्लाम है)।
दारुल'हर्ब :– वह दार (मुल्क) जहाँ कभी सल्तनते इस्लामी न हुई या हुई और फिर ऐसी ग़ैर क़ौम का तसल्लुत होगया जिसने शआइरे इस्लाम मिस्ल जुमा व ईदैन व अज़ान व इक़ामत व जमाअ़त यक'लख़्त उठा दिये और शआइरे कुफ़्र जारी कर दिये और

कोई शख़्स अमाने अव्वल पर बाकी न रहा और वह जगह चारों तरफ़ से दारुल'इस्लाम में घिरी हुई नहीं तो वह दारुल'हर्ब है।
दाइन :– क़र्ज़ देने वाला, वह शख़्स जिसका किसी पर दैन हो उसे दाइन कहते हैं।
दियत :– दियत उस माल को कहते हैं जो नफ़्स (जान) के बदले में लाज़िम होता है।
दैन :– जो चीज़ वाजिब फ़िज़्ज़िम्मा हो किसी अक़्द मसलन बैअ़ या इजारह की वजह से या किसी चीज़ के हलाक करने से उसके ज़िम्मे तावान हो या क़र्ज़ की वजह से वाजिब हो उन सब को दैन कहते हैं।
दैन मोअज्जल :– वह दैन जिसके लिये कोई मीआद मुक़र्रर हो।
ज़िम्मी :– ज़िम्मी उस काफ़िर को कहते हैं जिसके जान व माल की हिफ़ाज़त का बादशाहे इस्लाम ने जिज़्या के बदले ज़िम्मा लिया हो।
ज़विल'अरहाम :– करीबी रिश्तेदार, उससे मुराद वह रिश्तेदार हैं जो न तो असहाबे फराइज़ में से हैं और न ही असबात में से हैं।
ज़विल'फ़ुरूज़ :– उससे मुराद वह लोग हैं जिनका मीरास में मोअय्यन हिस्सा क़ुर्आन व हदीस और इजमाअ़ उम्मत की रू से बयान कर दिया गया है उनको असहाबे फराइज़ कहते हैं।
राहिन :– जो शख़्स अपनी चीज़ किसी के पास गिरवी रखता है उसे राहिन कहते हैं
रब्बुस्सलम :– बैअ़ सलम में खरीदार को रब्बुस्सलम कहते हैं।
रब्बुल'माल :– बैअ़ मुज़ारबत का सरमायादार।
रजअ़त :– जिस औरत को रजई तलाक़ दी हो इद्दत के अन्दर उसे उसी पहले निकाह पर बाक़ी रखना।
रज्म :– ज़ानी मर्द या ज़ानिया औरत (जिस के मुतअल्लिक़ रज्म का हुक्म है उस) को मैदान में लेजाकर इस कद्र पत्थर मारना कि मरजाये।
रुक्न :– किसी शय का रुक्न वह होती है जिससे उस शय की तकमील हो और वह चीज़ उस शय में दाखिल हो जैसे नमाज़ में रुकूअ़ वग़ैरह।
रहन :– दूसरे के माल को अपने हक़ में अपने पास इस लिये रोक रखना कि उसके ज़रियेअ़ से अपने हक को कुल्लन या जुज़्अन हासिल करना मुम्किन हो कभी उस चीज़ को भी रहन कहते हैं जो रखी गई है।
सआयत :– (मेहनत करना कोशिश करना) गुलाम का कुछ हिस्सा आज़ाद होचुका हो और बक़िया की आज़ादी के लिये मेहनत मज़दूरी करके मालिक को क़ीमत अदा कर रहा हो गुलाम के इस फ़ेअ़्ल को सआयत कहते हैं।
शुब्हे फ़ेअ़्ल या शुब्हे इश्तिबाह :– यानी फ़ेअ़्ले हराम हो लेकिन वह उसको हलाल गुमान करके उसका इर्तिकाब कर बैठे मसलन अपनी औरत को तीन तलाकें देने के बाद उसके साथ इद्दत में वती करले यह समझकर कि इद्दत के अन्दर वती हलाल है।
शर्त :– वह शय जो हक़ीक़ते शय में दाखिल न हो लेकिन उसके बिग़ैर शय मौजूद न हो जैसे नमाज़ के लिये वुज़ू वग़ैरह।
शिरकत :– शिरकत ऐसे मुआमले का नाम है जिसमें दो अफ़राद सरमाया और नफ़ा में शरीक रहना तय करें।
शिरकते इख़्तियारी :– शिरकते इख़्तियारी यह है कि शरीकैन के फ़ेअ़्ल व इख़्तियार से शिरकत हुई हो।
शिरकत बिल'अ़मल :– शिरकत बिल'अ़मल यह है कि दो कारीगर लोगों के यहाँ से काम लायें और शिरकत में काम करें और जो कुछ मज़दूरी मिले आपस में बांट लें, इसी को शिरकत बिल'अब्दान और शिरकते तक़ब्बुल व शिरकते सनाइअ़ भी कहते हैं।
शिरकते जब्री :– शिरकते जब्री यह है कि दोनों का माल बिग़ैर इरादा व इख़्तियार के आपस में ऐसा मिल जाये कि हर एक की चीज़ दूसरे से मुम्ताज़ (जुदा) न होसके या होसके मगर निहायत दिक़्क़त व दुश्वारी के साथ मसलन विरासत में दोनों को तर्का मिला कि एक का हिस्सा दूसरे से मुम्ताज़ नहीं या एक के पास गेहूँ थे दूसरे के पास जौ और वह आपस में मिल गये।
शिरकते अ़क़्द :– शिरकते अ़क़्द यह है कि दो शख़्स बाहम किसी चीज़ में शिरकत का अ़क़्द करें मसलन एक कहे मैं तेरा शरीक हूँ दूसरा कहे मुझे मन्ज़ूर है।
शिरकते इनान :– शिरकते इनान यह है कि दो शख़्स किसी ख़ास नोअ़ की तिजारत, या हर क़िस्म की तिजारत में शिरकत करें मगर हर एक दूसरे का ज़ामिन न हो सिर्फ़ दोनों शरीक आपस में एक दूसरे के वकील होंगे।
शिरकते मुफ़ावज़ा :– शिरकते मुफ़ावज़ा यह है कि हर एक दूसरे का वकील व कफ़ील हो यानी हर एक का मुतालबा दूसरा वसूल कर सकता है और हर एक पर जो मुतालबा होगा दूसरा उसकी तरफ़ से ज़ामिन है और शिरकते मुफ़ावज़ा में यह ज़रूर है कि दोनों के माल बराबर हों और नफ़ा में दोनों बराबर के शरीक हों और तसर्रुफ़ व दैन में भी मसावात हो लिहाज़ा आज़ाद व गुलाम में और नाबालिग़ व बालिग़ में और मुसलमान व काफ़िर में और आ़क़िल व मजनून में और दो नाबालिग़ों में और दो गुलामों में शिरकते मुफ़ावज़ा नहीं होसकती।
शिरकते मिल्क :– शिरकते मिल्क यह है कि चन्द शख़्स एक चीज़ के मालिक हों और बाहम अ़क़्दे शिरकत न हुआ हो।
शिरकते वुजूह :– शिरकते वुजूह यह है कि दोनों बिग़ैर माल अ़क़्दे शिरकत करें कि अपनी वजाहत और आबरू की वजह से दुकानदारों से उधार ख़रीद लायेंगे और माल बेचकर उनके दाम देदेंगे और जो कुछ बाकी बचेगा आपस में बांट लेंगे।
शुफ़अ़ा :– ग़ैर मन्कूल जायदाद को किसी शख़्स ने जितने में ख़रीदा उतने ही में उस जायदाद के मालिक होने का हक़ जो दूसरे शख़्स को हासिल होजाता है उसको शुफ़अ़ा कहते हैं।

शफ़ीअ़ :– शुफ़आ करने वाला।

शहादत :– किसी हक़ के साबित करने के लिये क़ाज़ी की मज्लिस में लफ़्ज़े शहादत के साथ सच्ची ख़बर देने को शहादत या गवाही कहते हैं।

शहादत अ़लश्शहादत :– इस से मुराद यह है कि एक शख़्स क़ाज़ी के पास हाज़िर न होसके और वह दूसरे से कहदे कि मैं फ़ुलां मुआमले में इस बात की गवाही देता हूँ, तुम क़ाज़ी के पास मेरी इस गवाही की गवाही देदेना इसी को फ़िक्ह की इस्तिलाह में शहादत अ़लश्शहादत कहते हैं।

साअ़ :– दों सौ सत्तर तोले का होता है। आठ रित्ल का होता है। तक़रीबन चार किलो एक सौ ग्राम का होता है।

सहीहैन:– हदीस् की दो मशहूर किताबें सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम।

सलह :– निज़ाअ़ दूर करने के लिये जो अ़क़्द किया जाये उसको सलह कहते हैं।

तालिब :– जिसका मुतालबा है उसको तालिब व मकफ़ूल लहु (दाइन) कहते हैं।

तरफ़ैन :– (किसी भी मुआमले के दो फ़रीक़) ख़रीद व फ़रोख़्त में तरफ़ैन से मुराद बाइअ़ और मुश्तरी हैं।

तलाक़ :– निकाह से औ़रत शौहर की पाबन्द होजाती है उस पाबन्दी को उठादेने को तलाक़ कहते हैं।

तलाक़े बाइन :– वह तलाक़ जिसकी वजह से औ़रत मर्द के निकाह से फ़ौरन निकल जाती है।

तलाक़े रजई :– वह तलाक़ जिसमें औ़रत इद्दत के गुजरने पर निकाह से बाहर हो।

ज़िहार :– अपनी बीवी या उसके किसी हिस्से या ऐसे हिस्से को जो कुल से ताबीर किया जाता हो ऐसी औ़रत से तशबीह देना जो उस पर हमेशा के लिये हराम हो। मस्लन कहा तू मुझपर मेरी माँ की मिस्ल है या तेरा सर या तेरी गर्दन या तेरा निस्फ़ मेरी माँ की पीठ की मिस्ल है।

आ़रियत :– दूसरे शख़्स को किसी चीज़ की मनफ़अ़त का बिग़ैर एवज़ मालिक कर देना आ़रियत है।

इद्दत :– निकाह ज़ाइल होने या शुब्हे निकाह के बाद औ़रत का निकाह से मम्नूअ़ होना और एक ज़माने तक इन्तिज़ार करना इद्दत है।

उ़श्र :– ज़रई ज़मीन की पैदावार से जो ज़कात अदा की जाती है (यानी पैदावार का दसवाँ हिस्सा) उसे उ़श्र कहते हैं।

उ़श्री ज़मीन :– वह ज़मीन जिसकी पैदावार से उ़श्र अदा किया जाता है।

अ़सबात :– वह लोग जिनके हिस्से (मीरास् में) मुक़र्रर शुदा नहीं होते अल'बत्ता असहाबे फ़राइज़ से जो बचता है उन्हें मिलता है और अगर असहाबे फ़राइज न हों तो तमाम माल (तर्का) उन्ही में तक़सीम होजाता है।

अ़सबा बि'नफ़सिही :– इससे मुराद वह मर्द है कि जब उसकी निस्बत मय्यित की तरफ़ की जाये तो दरम्यान में कोई औ़रत न आये, मस्लन भतीजा वग़ैरह।

अ़क़्द :– आ़क़िदैन (निकाह और ख़रीद व फ़रोख़्त वग़ैरह करने वालों) में से एक का कलाम दूसरे के साथ शरअ़ के मुताबिक़ इस तरह मुतअ़ल्लिक़ होना कि उसका अस्र महल्ल (मअ़कूद'अ़लैहि) में ज़ाहिर हो।

अ़क़्दे किताबत :– आक़ा यानी मालिक अपने ग़ुलाम से माल की एक मिक़दार मुक़र्रर करके यह कहदे कि इतना माल अदा करदे तो तू आज़ाद है और ग़ुलाम उसे कबूल भी करले तो उस क़ौल व क़रार को अ़क़्दे किताबत कहते हैं।

उ़क़्र :– औ़रत के साथ शुब्हे वती से जो महर लाज़िम होता है उसे उ़क़्र कहते हैं।

अ़ल्लाती :– बाप शरीक बहन, भाई यानी जिनका बाप एक हो और मायें अलग–अलग हों।

इन्नीन :– उस शख़्स को कहते हैं कि उसका उ़ज़्वे मख़्सूस तो हो मगर अपनी बीवी के आगे के मक़ाम में दुख़ूल न कर सके।

ऐ़ब :– ऐ़ब वह है जिससे ताजिरों की नज़र में चीज़ की क़ीमत कम होजाये।

ग़ासिब :– ग़सब करने वाले को ग़ासिब कहते हैं।

ग़बने फ़ाहिश :– सख़्त क़िस्म की ख़्यानत, मुराद ऐसी क़ीमत से ख़रीद व फ़रोख़्त करना जो क़ीमत लगाने वालों के अन्दाज़े से बाहर हो मस्लन कोई चीज़ दस रूपये में ख़रीदी लेकिन उसकी क़ीमत छः, सात रूपये लगाई जाती है कोई शख़्स उसकी क़ीमत दस रूपये नहीं लगाता तो यह ग़बने फ़ाहिश है।

ग़बने यसीर :– ऐसी क़ीमत से ख़रीद व फ़रोख़्त करना जो क़ीमत लगाने वालों के अन्दाज़े से बाहर न हो मस्लन कोई चीज दस रूपये में ख़रीदी कोई शख़्स उसकी क़ीमत आठ बताता है कोई नौ तो कोई दस, तो यह ग़बने यसीर है।

ग़सब :– माले'मुतक़व्विम, मोहतरम, मन्क़ूल यानी ऐसा माल जो शरई लिहाज़ से क़ाबिले क़ीमत और मोहतरम हो एक जगह से दूसरी जगह मुन्तक़िल भी किया जासके उससे जाइज़ क़ब्ज़ा हटाकर नाजाइज़ क़ब्ज़ा करना ग़सब कहलाता है जब कि यह क़ब्ज़ा खुफ़िया न हो।

ग़ुलाम माज़ून :– वह ग़ुलाम जिसके आक़ा ने उसे तिजारत वग़ैरह की आम इजाज़त देदी हो।

ग़ुलाम महजूर :– ऐसा ग़ुलाम जिसे मालिक ने ख़रीद व फ़रोख़्त से रोक दिया हो।

ग़नीमत :– वह माल जो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के जरियेअ़ ब'ज़ोरे क़ुव्वत (हरबी) काफ़िरों से हासिल किया जाता है।

ग़ैर मोहस्सन :– आज़ाद आ़क़िल, बालिग़ शख़्स जिसने निकाहे सहीह के साथ वती न की हो।

फ़ार्र बित्तलाक़ :– वह शख़्स जो अपनी बीवी को उसकी रज़ामन्दी के बिगैर अपने तर्के से महरूम करने के लिये मर्ज़ुल'मौत में या ऐसी हालत में जिसमें मौत का कवी अन्देशा हो तलाके बाइन देदें।

फ़ार्रह :– मर्ज़ुल'मौत में या ऐसी हालत में जिसमें मौत का कवी अन्देशा हो ज़ौजा की जानिब से मर्द व औरत में तफ़रीक़ वाक़ेअ् हो, ताकि उसका शौहर उसके तर्के से महरूम होजाये ऐसी औरत को फ़ार्रह कहते हैं।

फ़र्ज़े किफ़ाया :– फ़र्ज़े किफ़ाया वह होता है जो कुछ लोगों के अदा करने से सबकी जानिब से अदा होजाता है और कोई भी अदा न करे तो सब गुनाहगार होते हैं जैसे नमाज़े जनाज़ा वगैरह।

फ़ुज़ूली :– उस शख़्स को कहते हैं जो दूसरे के हक़ में उसकी इजाज़त के बिगैर तसर्रुफ़ करे।

फ़क़ीर :– वह शख़्स है जिसके पास कुछ हो मगर न इतना कि निसाब को पहुँच जाये या निसाब की मिक़दार हो तो उसकी हाजते असलिया में मुस्तगरक हो।

क़त्ले अ़मद :– किसी धारदार आले से क़स्दन क़त्ल करना क़त्ले अमद कहलाता है मसलन छुरी, ख़न्जर, तीर, नेज़ा वगैरह से किसी को क़स्दन क़त्ल करना।

क़ज़फ़ :– किसी पर ज़िना की तोहमत लगाना।

क़र्ज़ :– दैन की एक ख़ास सूरत का नाम क़र्ज़ है, जिस को लोग दस्तगर्दा कहते हैं।

क़िसास :– फ़ाइल (यानी ज़ालिम) के साथ वैसा ही सुलूक करना जैसा उसने दूसरों के साथ किया मसलन हाथ काटा तो उसका भी हाथ ही काटा जाये।

क़ज़ा :– लोगों के झगडों और मुनाज़आत के फ़ैसला करने को क़ज़ा कहते हैं।

क़ीमत :– किसी चीज़ के दाम जो उसके मेअ़यार के मुताबिक़ हों और उनमें कमी व बेशी न की जाये।

क़ियमी :– हर वह चीज़ जिसकी मिस्ल बाज़ार में न पाई जाये और समन व क़ीमत के लिहाज़ से उसमें फ़र्क़ हो।

किफ़ालत :– एक शख़्स अपने ज़िम्मे को दूसरे के ज़िम्मे के साथ मुतालबे में जम करदे यानी दूसरे के मुतालबे की ज़िम्मेदारी अपने ज़िम्मे लेलेना।

किफ़ालत बिद्दर्क :– बाइअ् की तरफ़ से इस बात की किफ़ालत कि अगर मबीअ् का कोई दूसरा हक़दार साबित हुआ तो समन का मैं ज़िम्मेदार हूँ।

कफ़ू :– कफ़ू का मअ़ना यह है कि मर्द औरत से नसब वगैरह में इतना कम न हो कि उससे निकाह औरत के औलिया (रिश्तेदारों) के लिये बाइसे नंग व आर हो।

कफ़ील :– वह शख़्स जो दूसरे के मुतालबे की ज़िम्मेदारी अपने ज़िम्मे ले लेता है।

किनाया :– ऐसा कलाम जिसका मुरादी मअ़ना चाहे हक़ीक़ी हो या मजाज़ी ज़ाहिर न हो अगर्चे लुग़वी माना ज़ाहिर हो।

लुक़ता :– उस माल को कहते हैं जो पड़ा हुआ कहीं मिल जाये।

लक़ीत :– लक़ीत उस बच्चे को कहते हैं जिस को उसके घर वाले ने अपनी तन्गदस्ती या बदनामी के ख़ौफ़ से फ़ेंक दिया हो।

माले फ़िय :– वह माल जो मुसलमानों को काफ़िरों से लड़ाई के बिगैर हासिल होजाये चाहे उन्हें जिला वतन करके हासिल हो या सुलह के साथ माले फ़िय कहलाता है।

कुफ़्फ़ार से लड़ाई के बाद जो माल लिया जाता है उसे माले फ़िय कहते हैं।

माले मुतक़व्विम :– वह माल जो जमा किया जा सकता हो और शरअ़न उससे नफ़ा उठाना मुबाह हो।

मबीअ् :– फ़रोख़्त शुदा चीज़

मुतारका :– मर्द का अपनी बीवी के मुतअ़ल्लिक़ यह कहना कि मैंने उसे छोडदिया या उससे वती तर्क करदी या इस तरह के और अल'फ़ाज़ कहना मुतारका है।

मुतून :– मुतून मतन की जमा है इस से मुराद वह किताबें हैं जो नक़्ले मज़हब के लिये लिखी गईं जैसे मुख़्तसरुल'क़ुदूरी।

मिस्ली :– हर वह चीज़ जिसकी मिस्ल बाज़ार में पाई जाये और आमतौर पर समन व क़ीमत के लिहाज़ से उसमें तफ़ावुत न समझा जाता हो।

मजनूँ :– जिसकी अ़क्ल ज़ाइल होगई हो बिला वजह लोगों को मारे गालियां दे शरीअ़त ने उसमें अपनी कोई इस्तिलाहे जदीद मुक़र्रर नहीं फ़रमाई (मजनूँ) वही है जिसे फ़ारिसी में दीवाना उर्दू में पागल कहते हैं।

महारिम :– मोहरिम की जमा है।

मुहाल'बिही :– हवाला में माल को मुहाल'बिही कहते हैं।

मुहाले आदी :– वह शय जिसका पाया जाना आदत के तौर पर ना'मुम्किन हो उसे मुहाले आदी कहते हैं मसलन किसी ऐसे शख़्स का हवा में उड़ना जिसको उड़ते न देखा गया हो।

मोहताल अ़लैहि :– जिस पर हवाला किया गया उसको मोहताल अ़लैहि और मुहाल अ़लैहि कहते हैं।

महजूब :– ऐसा वारिस् जिसका हिस्सा किसी दूसरे वारिस् की मौजूदगी की वजह से कम होजाये या बिलकुल ख़त्म होजाये तो उसे महजूब कहते हैं।

महदूद फ़िल'कज़फ़ :– वह शख़्स जिस पर क़ज़फ़ क़ाइम की गई हो (यानी किसी पर ज़िना की तोहमत लगाई और सुबूत नहीं देसका इस वजह से उसपर हद मारी गई)।

मोहरिम :– वह शख़्स जिसने हज या उमरे का एहराम बान्धा हो।

मोहरम :– वह रिश्तेदार जिससे निकाह करना क़राबत, रज़ाअ़त या सुसराली रिश्ते की वजह से हमेशा हराम हो।

महरूम :– इससे मुराद वह वारिस् है जो मीरास् से किसी सबब की वजह से शरअ़न महरूम होजाता है मस्लन गुलाम होने की वजह से या मूरिस् का क़ातिल होने की वजह से।

मोहसन :– वह शख़्स जो आज़ाद आकि़ल, बालिग़ हो और निकाहे सहीह के साथ वती की हो।

मुहसना :– वह औरत जो आकि़ला बालिग़ा आज़ाद हो और निकाहे सहीह के साथ उससे वती भी की गई हो।

मुहील :– मदयून (मकरूज़) को मुहील (हवाला करने) वाला कहते हैं।

मुदब्बिर :– वह गुलाम जिसकी निस्बत मौला ने कहा किं तू मेरे मरने के बाद आज़ाद है या ऐसे अल'फ़ाज़ कहे हों जिन से मौला के मरने के बाद उसका आजाद होना साबित होता हो।

मुदब्बिरा :– ऐसी लौन्डी जिसे मालिक ने यह कहा हो कि मेरे मरने के बाद तू आज़ाद है या ऐसे अल'फ़ाज़ कहे हों जिनसे मौला के मरने के बाद उसका आज़ाद होना साबित होता हो।

मुद्दई :– दावा करने वाला।

मुद्दा'अ़लैहि :– जिस पर दावा किया जाये।

मदयून :– जिसके ज़िम्मे किसी का वाजिबुल'अदा हक़ (दैन) हो तो उसे मदयून (मकरूज) कहते हैं।

मुराबहा :– कोई चीज़ ख़रीदी और उसपर कुछ ख़र्चे किये फिर क़ीमत और ख़र्चों को ज़ाहिर करके उसपर नफ़ा की एक मिक़दार बढ़ाकर उसको फ़रोख़्त करदेना उसे मुराबहा कहते हैं।

मुराफ़िक़ :– इससे मुराद वह चीजें हैं जो मबीअ़ (ख़रीदी हुई चीज) के ताबेअ़ होती हैं (यानी मबीअ़ के साथ बैअ़ में ज़िमनन शामिल होती हैं) जैसे जूते के साथ तस्मा।

मुराहिक़ :– यानी वह लड़का कि अभी बालिग़ न हुआ. मगर उसके हम उम्र बालिग़ होगये हों उसकी मिक़दार बारह बरस की उम्र है।

मुर्तद :– वह शख़्स है कि इस्लाम के बाद किसी ऐसे अम्र का इन्कार करे जो ज़रूरियाते दीन से हो यानी ज़बान से कलिमा–ए–कुफ़्र बके जिसमें सहीह तावील की गुन्जाइश न हो। यूंही बाज़ अफ़आल भी ऐसे हैं जिनके करने से काफ़िर होजाता है मस्लन बुत को सजदा करना, मुसहफ़ शरीफ़ को निजासत की जगह फेंक देना।(नऊज़ु बिल्लाह)

मुर्तहिन :– जिस शख़्स के पास कोई चीज़ रहन रखी जाये वह मुर्तहिन कहलाता है।

मर्ज़ुल'मौत :– किसी मर्ज के मर्ज़ुल'मौत होने के लिये दो बातें शर्त हैं। एक यह कि उस मर्ज में ख़ौफ़ व हलाक व अन्देशाए मौत कुव्वत व ग़लबा के साथ हो। दोम यह कि उस ग़लबए ख़ौफ़ की हालत में उसके साथ मौत मुत्तस्लि हो अगर्चे उस मर्ज़ से न मरे मौत का सबब कोई और होजाये।

मुज़ारआ :– किसी को अपनी ज़मीन इस तौर पर काश्त के लिये देना कि जो कुछ पैदावार होगी दोनों में मस्लन आधी–आधी या तिहाई, दो तिहाईयां तक़सीम होजायेगी उसको मुज़ारअ़त कहते हैं।

मुस्तामिन :– वह शख़्स है जो दूसरे मुल्क में (जिस में ग़ैर'क़ौम की सल्तनत हो) अमान लेकर गया यानी हरबी दारुल'इस्लाम में या मुसलमान दारुल'कुफ़्र में अमान लेकर गया तो मुस्तामिन है।

मुस्तईर :– आरियतन चीज़ लेने वाला।

मस्तुरुल'हाल :– वह शख़्स जिसकी अ़दालत और फ़िस्क़ (यानी नेक व बद होना) लोगों पर ज़ाहिर न हो।

मिस्कीन :– वह शख़्स है जिसके पास कुछ न हो यहाँ तक कि खाने और बदन छुपाने के लिये उसका मोहताज है कि लोगों से सुवाल करे।

मुसल्लम इलैहि :– बैअ़ सलम में चीज़ बेचने वाले को मुसल्लम इलैहि कहते हैं।

मुसल्लम फ़ीह :– जिस चीज़ पर अ़क्दे सलम हो उसको मुसल्लम फ़ीह कहते हैं।

मुशाअ़ :– उस चीज़ को कहते हैं जिसके एक जुज़्वे ग़ैर मोअ़य्यन का यह मालिक हो और दूसरा भी उसमें शरीक हो और दोनों के हुसूल में इम्तियाज़ न हो।

मुश्तरी :– ख़रीदार को मुश्तरी कहते हैं।

मुश्तहात :– क़ाबिले शहवत लड़की जो नौ बरस से कम उम्र की न हो।

मसालेह अ़लैहि :– जिसपर सुलह हुई उसको बदले सुलह या मसालेह अ़लैहि कहते हैं।

मसालेह अ़न्हु :– वह हक़ जो बाइसे निज़ाअ़ था उसको मुसालेह अ़न्हु कहते हैं।

मुज़ारिब :– मुज़ारबत में काम करने वाला।

मुतल्लक़ा रजईया :– वह औरत जिसे रजई तलाक़ दीगई हो।

मअतूह :– बोहरा, जिसकी अक़्ल ठीक न हो तदबीरे मुख़्तल हो कभी आकिलों की सी बात करे कभी पागलों की तरह मगर मजनूं की तरह लोगों को महज़ बे'वजह मारना, गालियां देता, ईंटें फेंकता न हो।

मुईर :– आरियतन चीज़ देने वाला।

मफकूद :– जो ला पता हो।

मफकूदुल'ख़बर :– वह शख़्स जिसका कोई पता न हो और यह भी मालूम न हो कि जिन्दा है या मरगया।

मुकास्सा :– अदला बदला करना यानी दो शख़्सों का एक दूसरे पर मुतालबा हो और वह बराबर आपस में यह मुआमला तय करलें कि दोनों में से हर एक का जो मुतालबा है वह उसके ज़िम्मे से वाजिबुल'अदा मुतालबे के बदले में होजायेगा।

मकज़ूफ :– जिसपर ज़िना की तोहमत लगाई गई हो।

मुकातब :– आक़ा अपने गुलाम से माल की एक मिक़दार मुक़र्रर करके यह कहदे कि इतना अदा करदे तो तू आज़ाद है और गुलाम उसको क़बूल भी करले तो ऐसे गुलाम को मुकातब कहते हैं।

मुकातबा :– ऐसी लौन्डी जिसे मालिक ने माल की एक मिक़दार मुक़र्रर करके यह कहा हो कि इतना माल अदा करदे तो तू आज़ाद है और लौन्डी ने उसे क़बूल कर लिया हो।

मकरूह तहरीमी :– जिस की मुमानअत दलीले ज़न्नी से लुज़ूमन साबित हो यह वाजिब का मुक़ाबिल है।

मकफूल बिही :– जिस चीज़ की कफ़ालत की वह मकफूल बिही है।

मकफूल अन्हु :– जिसपर मुतालबा है वह असील व मकफूल'अन्हु (मकरूज) है।

मकफूल लहू :– जिसका मुतालबा है उसको तालिब व मकफूल लहू (दाइन) कहते हैं।

मुल्तकित :– गिरी पड़ी चीज़ या लकीत के उठाने वाले को मुल्तकित कहते है।

मूसी :– वसियत करने वाला यानी जो किसी शख़्स को अपनी वसियत पूरी करने के लिये मुक़र्रर करे।

मूसा'लहू :– जिसके लिये माल वग़ैरह देने की वसियत की जाये उसको मूसा'लहू कहते हैं।

मुहायात :– मुहायात यानी एक चीज़ से बारी–बारी नफ़ा उठाना मसलन दो अफ़राद ने मुश्तरका तौर पर मकान ख़रीदा कि एक साल एक शरीक रिहायश रखे और दूसरे साल दूसरा।

महरे मिस्ल :– औरत के खान्दान की उस जैसी औरत का जो महर हो वह उसके लिये महरे मिस्ल है मसलन उसकी बहन, फूफी, वग़ैरहा का।

महरे मोअज्जल :– वह महर जो खल्वत से पहले देना क़रार पाये।

महरे मोअज्जल :– वह महर जिसके लिये कोई मीआद मुक़र्रर हो।

नबीज़ :– वह मशरूब जिसमें खजूरें डाली जायें जिससे पानी मीठा होजाये मगर (अअ्ज़ा को) सुस्त करने वाला और नशाआवर न हो, नशाआवर हो तो उसका पीना हराम है।

नजिश :– नजिश यह है कि कोई शख़्स मबीअ् (बेची जाने वाली चीज़) कह कीमत बढ़ाये और खुद ख़रीदने का इरादा न रखता हो इससे मक़सूद यह होता है कि दूसरे गाहक को रग़बत पैदा हो और कीमत से ज़्यादा देकर ख़रीदले और यह हकीकतन ख़रीदार को धोका देना है।

नज़्र, नज़रे शरई :– नज़्र इस्तिलाहे शरअ् में वह इबादते मक़सूदा है जो जिन्से वाजिब से हो और वह खुद बन्दा पर वाजिब न हो मगर बन्दा ने अपने क़ौल से उसे अपने ज़िम्मे वाजिब करलिया हो मसलन यह कहा कि मेरा यह काम होजाये तो दस रकात नफ़्ल अदा करूँगा उसे नज़रे शरई कहते हैं।

नज़रे उरफी, नज़रे लुग़वी :– औलियाअल्लाह के नाम की जो नज़्र मानी जाती है उसे नज़रे (उरफी और) लुग़वी कहते हैं उसके माना नज़राना है जैसे कोई शागिर्द अपने उस्ताज़ से कहे कि यह आप की नज़्र है यह बिलकुल जाइज़ है यह बन्दों की होसकती है मगर इस का पूरा करना शरअन वाजिब नहीं मसलन ग्यारहवीं शरीफ़ की नज़्र और फ़ातिहा बुज़ुर्गाने दीन वग़ैरह।

निफ़ास :– वह ख़ून जो बालिग़ा औरत के रहम से बच्चा पैदा होने के बाद निकलता है उसे निफ़ास कहते हैं।

नफ़का :– वह अख़राजात जो शौहर पर बीवी को देने वाजिब हैं खाना, कपड़े, रिहायश वग़ैरह।

निकाहे शिग़ार :– एक शख़्स ने अपनी लड़की या बहन का निकाह दूसरे से कर दिया और दूसरे ने अपनी लड़की या बहन का निकाह उससे कर दिया और हर एक का महर दूसरे का निकाह है।

निकाहे फ़ासिद :– ऐसा निकाह जिसमें निकाह की शर्तों में से कोई एक शर्त न पाई जाये मसलन बिग़ैर गवाहों के निकाह करना।

निकाहे फ़ुज़ूली :– वह निकाह जो कोई शख़्स किसी मर्द या औरत का उसकी इजाज़त के बिग़ैर जब कि वह मौजूद न हो किसी दूसरी औरत या मर्द से करदे तो यह निकाह निकाहे फ़ुज़ूली है।

वदीअत :– जो माल किसी के पास हिफ़ाज़त के लिये रखा जाये उसे वदीअत और अमानत कहते हैं।

वसी :– उस शख़्स को कहते हैं जिसको वसियत करने वाला (मूसी) अपनी वसियत पूरी करने के लिये मुक़र्रर करे।

वसियत :– वसियत करने का मतलब यह है कि बतौर एहसान किसी को अपने मरने के बाद अपने माल या मन्फ़अत का

मालिक बनादेना।
वती़ बिश्शुबह :– शुबह के साथ वती करना यानी औरत हलाल न हो मगर उसे हलाल समझकर वती करना जैसे औरत तलाके मुग़ल्लज़ा की इद्दत में हो और हलाल समझकर उससे वती करले यह वती बिश्शुबह है।
वक़्फ़ :– किसी शय को अपनी मिल्क से ख़ारिज करके ख़ालिस अल्लाह तआला की मिल्क करदेना इसतरह कि उसका नफ़ा बन्दगाने खुदा में से जिसको चाहे मिलता रहे।
वकील बिल'बैअ् :– चीज़ बेचने का वकील।
वकील बिश्शरा :– चीज़ ख़रीदने का वकील।
वली :– वली वह है जिसका हुक्म दूसरे पर चलता हो दूसरा चाहे या न चाहे।
हिबा :– किसी शख़्स को एवज़ के बिग़ैर किसी चीज़ का मालिक बना देना।
हुन्डी :– उसकी सूरत यह है कि ताजिर को रूपया ब'तौरे क़र्ज़ देते हैं कि वह उसको दूसरे शहर में अदा करदेगा या उसके किसी दोस्त या अज़ीज़ को दूसरे शहर में देदेगा मस्लन उस ताजिर की दूसरे शहर में दुकान है वहाँ लिख देगा उसको या उसके अज़ीज़ को वहाँ क़र्ज़ का रूपया वसूल होजायेगा।
यमीन :– क़सम, ऐसा अ़क़्द जिसके ज़रीए क़सम खाने वाला किसी काम करने या न करने का पुख़्ता इरादा करता है।
यमीने ग़मूस :– किसी गुज़श्ता काम के मुतअ़ल्लिक़ जानबूझकर झूटी क़सम खाना मस्लन क़सम खाई कि फ़ुलां शख़्स आगया है हालांकि वह अभी तक नहीं आया।
यमीने फ़ौर :– किसी ख़ास वजह से या किसी बात के जवाब में कसम खाई जिससे उस काम का फ़ौरन करना या न करना समझा जाता है उसको यमीने फ़ौर कहते हैं मस्लन औरत घर से निकलने का इरादा कर रही थी शौहर ने कहा अगर तू निकली तो तुझे तलाक़. उसी वक़्त अगर वह निकली तो तलाक़ होगई और अगर उस वक़्त ठहर गई कुछ देर बाद निकली तो नहीं।
यमीने लग़्व :– आदमी गुज़श्ता ज़माने में किसी काम के होने की क़सम खाये और उसका गुमान यह है कि उसी तरह है जिस तरह उसने कहा है जब कि अम्र इसके ख़िलाफ़ हो. यानी अपने गुमान में सच्ची कसम खाये मगर हक़ीक़त में झूटी हो।
यमीने मुरसल :– क़सम में कोई वक़्त मुक़र्रर न किया हो और क़रीने से फ़ौरन करना या न करना न समझा जाता हो तो उसे यमीने मुरसल कहते हैं मस्लन क़सम खाई कि ज़ैद के घर जाऊँगा अब ज़िन्दगी में जब भी गया तो क़सम पूरी होगई और अगर न गया यहाँ तक कि मरगया तो क़सम टूट गई।
यमीने मुन्अ़क़िदा :– आने वाले ज़माने मे किसी काम के करने या न करने की क़सम खाना मस्लन क़सम खाई कि मैं यह काम करूँगा।
यमीने मोअक़्क़त :– वह क़सम जिसके लिये कोई वक़्त एक दिन या कम व बेश मुक़र्रर कर दिया हो मस्लन कसम खाई कि यह रोटी आज खाऊँगा और आज न खाई तो क़सम टूट गई।

बहारे शरीअ़त तीसरी जिल्द, हिस्सा 14 से 20 तक की इस्तिलाहात

इ और अ से शुरूअ़ होने वाले शब्द

इब्ज़ाअ् :– तिजारते मुज़ारबत में अगर कुल नफ़ा रब्बुल'माल (माल देने वाले) ही के लिये देना क़रार पाया हो तो उसको इब्ज़ाअ् कहते हैं।
इजारह :– किसी शय के नफ़ा का एवज़ के मुक़ाबिल किसी शख़्स को मालिक करदेना।
इजारह–ए–फ़ासिद :– अ़क़्दे फ़ासिद (इजारए फासिद) वह है जो अपनी अस्ल के लिहाज़ से शरीअ़त के मुताबिक है मगर उसमें कोई वस्फ़ ऐसा है जिसकी वजह से ना'मशरूअ़ है।
इजारह बाति़ल :– वह इजारह जो अपनी अस्ल ही के लिहाज़ से ख़िलाफ़े शरअ़ हो।
उजरते मिस्ल :– किसी शख़्स को किसी काम की वह उजरत देना जो उस काम करने वाले को आमतौर पर दीजाती है।
अजीर :– उजरत पर काम करने वाले को अजीर कहते हैं। मुलाज़िम, मज़दूर, नौकर।
अजीरे मुश्तरक :– वह अजीर जो एक से ज़्यादा लोगों का काम करता हो मस्लन धोबी।
एहतिकार :– खाने की चीज़ को इस लिये रोकना (स्टाक करना) कि महंगी होने पर बेचेगा।
अख़्याफ़ी :– माँ शरीक बहन, भाई यानी जिनकी माँ एक हो और बाप अलग अलग हों।
अदिल्ला–ए–अरबा :– वह चार उसूल जिन पर इल्मे फ़िक़्ह की बुनियाद है यानी किताबुल्लाह, सुन्नते रसूलुल्लाह, इज्माए उम्मत और क़यास।
अर्श :– वह माल जो क़त्ल के एलावा में लाज़िम होता है और कभी अर्श और दियत को मुतरादिफ़ (एक ही माना में) भी बोलते हैं।
इस्तिहसान :– एक दलील का नाम है जो क़यास के मुख़ालिफ़ होता है। जब यह क़यास से ज़्यादा मज़बूत हो तो इसी पर अमल किया जाता है इसको इस्तिहसान इसी लिये कहते हैं कि उमूमन यह क़यास से ज़यादा क़वी होता है।
इस्तिदाना :– कोई चीज़ उधार ख़रीदी और माले मुज़ारबत में इस समन की जिन्स से (जो रब्बुल'माल ने दिया है) कुछ

बाक़ी नहीं है।

इस्तिस्नाअ़ :– कारीगर को फरमायश देकर चीज़ बनवाना।

असहाबे फ़रायज़ :– इससे मुराद वह लोग हैं जिनका हिस्सा मीरास् में क़ुर्आन व हदीस् और इज्माए उम्मत की रू से मोअय्यन करदिया गया है। उन्हें ज़विल'फ़ुरूज़ भी कहते हैं।

उदहिया :– मख़्सूस जानवर को मख़्सूस दिन में स्वाब की नियत से ज़िबह करना क़ुर्बानी है और कभी उस जानवर को भी उदहिया और क़ुर्बानी कहते हैं जो ज़िबह किया जाता है।

एअ़तिकाफ़ :– मस्जिद में अल्लाह तआला के लिये (एअ़तिकाफ़ की नियत के साथ) ठहरना।

इक़ाला :– दो शख़्सों के माबैन जो अ़क्द हुआ उसके उठा देने (ख़त्म करदेने) को इक़ाला कहते हैं, इकाला में दूसरे का क़बूल करना ज़रूरी है तन्हा एक शख़्स इकाला नहीं कर सकता।

इकराहे शरई :– किसी के साथ नाहक़ ऐसा फ़ेअ़्ल करना कि वह शख़्स ऐसा काम करे जिसको वह करना नहीं चाहता और कभी मुकरेह (मजबूर करने वाले) की जानिब से कोई ऐसा फ़ेअ़्ल किया जाता है जिसकी वजह से मुकरह (मजबूर किया हुआ) अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करे मगर मुकरह जानता है कि यह शख़्स ज़ालिम है अगर मैंने न किया तो जो कुछ कहता है कर गुज़रेगा इस सूरत में भी इकराह है। इसे लोग जब्र करना भी कहते हैं।

इकराहे ताम :– मार डालने या उज्व काटने या ज़र्बे शदीद (जिससे जान के तल्फ़ होने का अन्देशा हो) की धमकी दीजाये मस्लन कोई किसी से कहता है कि यह काम कर वरना तुझे मारते मारते बेकार करदूँगा इसको इकराहे मुल्जी भी कहते हैं।

इकराहे नाक़िस :– जिसमें इस (मार डालने या उज्व काटने या ज़र्बे शदीद) से कम की धमकी हो मस्लन पाँच जूते मारूँगा या पाँच कोड़े मारूँगा या मकान में बन्द करदूँगा या हाथ पाँव बान्धकर डाल दूँगा इसको इकराहे ग़ैर मुल्जी भी कहते हैं।

उम्मे वलद :– वह लौन्डी जिसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ और मौला (मालिक) ने इकरार किया कि यह मेरा बच्चा है।

अमानत :– (1) दूसरे शख़्स को अपने माल की हिफ़ाज़त पर मुक़र्रर करदेने को ईदाअ़ कहते हैं और उस माल को वदीअ़त कहते हैं जिसको आमतौर पर अमानत कहा जाता है। (2) अमानत उसे कहते हैं जिस में तल्फ़ पर (ज़ाइअ़ होने पर) ज़मान नहीं होता है आरियत और किराये की चीज को भी अमानत कहते हैं मगर वदीअ़त ख़ास उसका नाम है जो हिफ़ाज़त के लिये दी जाती है।

अमरद :– (ख़ूबसूरत लड़का) वह जिसकी दाढ़ी न उगी हो और न ही उस उम्र को पहुँचा हो जिसमें उमूमन दाढ़ी उगती है। जिनकी दाढ़ी निकलकर जब तक पूरे चेहरे पर ख़ूब नुमायां नहीं होजाती वह (अकस्र 22 साल की उम्र तक) उमूमन अमरद होते हैं बाज़ों के पूरे चेहरे पर दाढ़ी नहीं आती तो वह 25 साल या उससे भी ज़ायद उम्र तक अमरद रहते हैं। अमरद के इलावा हर वह मर्द भी अमरद ही के हुक्म में है जिसे देख कर शहवत आती हो और लज़्ज़त के साथ बार बार नज़र उठती हो, लिहाज़ा शहवत आने की सूरत में वह मर्द चाहे बुड्ढा हो उसे क़स्दन देखना हराम है।

अय्यामे तशरीक़ :– दस ज़ुल'हिज्जा के बाद के तीन दिन (11, 12, 13) को अय्यामे तशरीक़ कहते हैं।

अय्यामे मनहिय्या :– ईदुल'फ़ित्र, ईदुल'अदहा और 11, 12, 13 ज़ुल'हिज्जा के दिन कि उनमें रोज़ा रखना मना है इसी वजह से उन्हें अय्यामे मनहिय्या कहते हैं।

अय्यामे नह्र :– क़ुर्बानी का वक़्त दसवीं ज़िल'हिज्जा के तुलूअ़ सुबहे सादिक़ से बारहवीं के ग़ुरूब आफ़ताब तक है यानी तीन दिन दो रातें और इन दिनों को अय्यामे नह्र कहते हैं।

ईजाब व क़बूल :– निकाह (अ़क्द) करने वालों में से पहले का कलाम ईजाब और दूसरे का क़बूल कहलाता है।

ईदाअ़ :– दूसरे शख़्स को अपने माल की हिफ़ाज़त पर मुक़र्रर करने को ईदाअ़ कहते हैं।

ईला :– शौहर का यह कसम खाना कि बीवी से जिमा न करेगा या चार महीने जिमा न करेगा।

ईलाए मोअब्बद :– ऐसा ईला जिसमें चार महीने की क़ैद न हो।

ईलाए मोअक़्क़त :– ऐसा ईला जिसमें चार महीने की क़ैद हो।

'आ' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़

आजिर :– (अ़क्दे इजारह में) मालिक को आजिर कहते हैं।

आम्मा :– वह ज़ख़्म जो दिमाग़ की झिल्ली तक पहुँच जाये।

'ब' से शुरूअ़ होने वाले शब्द

बादिआ :– वह ज़ख़्म जिस में सर की जिल्द कट जाये।

बाइअ़ :– चीज़ बेचने वाले को बाइअ़ कहते हैं।

बिदअ़त :– वह एअ़तिक़ाद या वह अअ़्माल जो कि हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम के ज़मानाए हयाते ज़ाहिरी में न हो बाद में ईजाद हुए।

बिदअ़ते सय्यिआ :– जो बिदअ़त इस्लाम के ख़िलाफ़ हो या किसी सुन्नत को मिटाने वाली हो वह बिदअ़ते सय्यिआ है उसे बिदअ़ते मज़मूमा भी कहते हैं।

बिदअ़ते मकरूहा :– वह नया काम जिससे कोई सुन्नत छूट जाये अगर सुन्नत ग़ैर मोअक्कदा छूटी तो यह बिदअ़त

मकरूहे तन्ज़ीही है और अगर सुन्नते मोअक्कदा छूटी तो यह बिदअ़ते मकरूह तहरीमी है।

बिदअ़ते हराम :– वह नया काम जिससे कोई वाजिब छूट जाये यानी वाजिब को मिटाने वाली हो।

बिदअ़ते मुस्तहब्बा :– वह नया काम जो शरीअ़त में मना न हो और उसको आम मुसलमान सवाब का काम जानते हों या कोई शख़्स उसको नियते ख़ैर से करे जैसे महफ़िले मीलाद वग़ैरह।

बिदअ़ते जाइज़ :– वह नया काम जो शरीअ़त में मना न हो और बिग़ैर किसी नियते ख़ैर के किया जाये जैसे मुख़्तलिफ़ क़िस्म के खाने खाना वग़ैरह इसे बिदअ़ते मुबाह भी कहते हैं।

बिदअ़ते वाजिब :– वह नया काम जो शरअ़न मना न हो और उसके छोड़ने से दीन में हरज वाक़ेअ़ हो जैसे कि क़ुर्आन के एअ़राब और दीनी मदारिस और इल्मे नहव वग़ैरह पढ़ाना।

बिज़ाअ़त :– वह तिजारते मुज़ारबत जिसमें कुल नफ़ा रब्बुल'माल (माल देने वाले) के लिये हो।

बिक्र, बाकिरा :– कुंवारी बिक्र वह औरत है जिससे निकाह के साथ वती न की गई हो अगर्चे ज़िना से या किसी और वजह से बुकारत ज़ाइल होगई हो तब भी कुंवारी ही कहलायेगी।

बोहरा, मअ़तूह :– जिसकी अ़क्ल ठीक न हो।

बैतुल'माल :– इस्लामी हुकूमत का ख़ज़ाना जो मुसलमानों की फ़लाह व बहबूद में ख़र्च किया जाता है।

बैअ़ :– दो शख़्सों का बाहम माल को माल से एक मख़्सूस सूरत के साथ तबादला करना।

बैअ़ बातिल :– जिस सूरत में बैअ़ का कोई रुक्न न पाया जाये या वह चीज़ ख़रीद व फ़रोख़्त के क़ाबिल ही न हो।

बैअ़ सलम :– वह बैअ़ जिसमें समन (क़ीमत) फ़ौरन अदा करना ज़रूरी हो और मबीअ़ (बेची हुई चीज़) को बाद में ख़रीदार के हवाले करना बेचने वाले पर लाज़िम है।

बैअ़ सर्फ़ :– समन, समन के एवज़ बेचना समन से मुराद आम है चाहे समन ख़ल्क़ी हो जैसे सोना, चाँदी या ग़ैर ख़ल्क़ी जैसे पैसा, नोट वग़ैरह।

'त' 'ت' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़

तावील :– लफ़्ज़ को अपने ज़ाहिरी माना से उसके एहतिमाली माना की तरफ़ फेरना जब कि यह एहतिमाल क़ुर्आन व सुन्नत के मुवाफ़िक़ हो।

तहर्री :– जब किसी मौक़ेअ़ पर हक़ीक़त मालूम करना दुशवार होजाये तो सोचे और जिस जानिब गुमान ग़ालिब हो अमल करे उस सोचने का नाम तहर्री है।

तहिय्यतुल'मस्जिद :– किसी शख़्स का मस्जिद में दाख़िल होकर बैठने से पहले दो या चार रकात नमाज़ पढ़ना।

तहिय्यतुल'वुज़ू :– वुज़ू के बाद अअ़्ज़ा ख़ुश्क होने से पहले दो रकात नमाज़ पढ़ना।

तख़ारुज :– (1) एक वारिस् बिल'मुक्तअ़ (यानी कुल हिस्से के बदले) अपना कुछ हिस्सा लेकर तर्का (मीरास) से निकल जाता है कि अब वह कुछ नहीं लेगा उसको तख़ारुज कहते हैं।

(2) वारिसों में कोई या क़र्ज़ ख़्वाहों में से कोई तक़सीमे तर्का से पहले मय्यित के माल में से किसी मोअ़य्यन चीज़ को लेना चाहे और उसके एवज़ अपने हक़ से दस्त'बर्दार होजाये ख़्वाह वह हक़ उस चीज़ से ज़्यादा हो या कम और उस पर तमाम वुरसा या क़र्ज़ ख़्वाह मुत्तफ़िक़ होजायें तो उसका नाम फ़िक़्ह की इस्तिलाह में "तख़ारुज" या "तसालुह" है।

तर्का :– वह माल व जायदाद जो मरने वाला दूसरे के हक़ से ख़ाली छोड़कर मरजाये।

तज़्किया :– गवाहों का आ़दिल और मोअ़तबर होना।

तअ़रीज़ :– ऐसा कलाम जिसकी मुराद सुनने वाला बिग़ैर सराहत के न समझ सके।

तअ़ज़ीर :– वह सज़ा जो किसी गुनाह पर ब'ग़र्ज़े तादीब दीजाती है।

तकबीराते तशरीक़ :– अ़रफ़ा यानी नवीं ज़िल'हिज्जा की फ़ज्र से तेरहवीं की अ़स्र तक हर फ़र्ज़ के बाद बुलन्द आवाज़ के साथ एक बार "अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इला'ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल'हम्द" पढ़ना।

तौरिया :– ऐसा लफ़्ज़ या फ़ेअ़ल जिसके ज़ाहिरी माना को छोड़कर दूसरा माना मुराद लिया जाये जो सहीह है मसलन किसी को खाने के लिये बुलाया वह कहता है मैंने खाना खालिया। उसके ज़ाहिरी माना यह हैं कि उस वक़्त का खाना खालिया है मगर वह यह मुराद लेता है कि कल खाया है।

तौलिया :– चीज़ जितनी क़ीमत में पड़ी उतनी ही क़ीमत की बेच देना नफ़ा कुछ न लेना।

समन :– ख़रीदार और बेचने वाला आपस में शय की जो क़ीमत मुक़र्रर करें उसे समन कहते हैं।

'ज' 'ج' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़

जारेह :– ज़ख़्मी करने वाला।

जारे मुलासिक़ :– वह पड़ोसी जिसके मकान का पिछला हिस्सा दूसरे के मकान में हो।

जानी :– जनायत करने वाला यानी जान और आज़ा को नुक़सान पहुँचाने वाला।

जाइफ़ा :– वह ज़ख़्म जो जौफ़ तक पहुँचे और यह ज़ख़्म पीठ, पेट और सीने में होता है और अगर गले का ज़ख़्म

गिज़ाई नाली तक पहुँच जाये तो वह भी जाइफ़ा है।
जद्दे सहीह :– उस दादा को कहते हैं जिसकी मय्यित की तरफ निस्बत में मोअन्नस् का वास्ता बीच में न आये जैसे बाप का बाप और दादा का बाप।
जद्दे फ़ासिद :– उस दादा को कहते हैं जिसकी मय्यित की तरफ़ निस्बत में मोअन्नस् का वास्ता आये जैसे माँ का बाप।
जद्दए सहीहा :– वह दादी जिसकी निस्बत मय्यित की तरफ़ की जाये तो दरम्यान में जद्दे फ़ासिद का वास्ता न आये जैसे बाप की माँ और माँ की माँ।
जद्दए फ़ासिदा :– वह दादी या नानी जिसकी मय्यित की तरफ़ निस्बत में जद्दे फासिद आजाये जैसे नाना की माँ और दादी के बाप की माँ।
जरीब :– जरीब की मिक्दार अंग्रेजी गज़ से 35 गज़ लम्बाई और 35 गज़ चौड़ाई है।
जिज़्या :– वह शरई महसूल (टैक्स) जो इस्लामी हुकूमत कुफ्फार से उसकी जान व माल के हिफाजत के बदले मे वुसूल करे।
जिनायत :– (1) उससे मुराद वह फेअ्ल है जो हरम या एहराम की वजह से मना हो जैसे एहराम की हालत मे शिकार करना हरम में किसी जानवर को क़त्ल करना।
(2) इससे मुराद वह फेअ्ल है जिस से जान या अअ्ज़ा को नुक़सान पहुँचाया जाये।
जुनून :– अ़क्ल में ऐसे ख़लल का होना जिसकी वजह से आदमी के अक़वाल व अफ़आल मअ्मूल के मुताबिक़ न रहें चाहे यह ख़लल पैदायशी व फ़ितरी तौर पर हो या बाद में किसी मर्ज़ वग़ैरह की वजह से पैदा होजाये।
जुनूने मुतबिक़ :– वह जुनून (पागलपन) जो कम से कम एक माह तक मुसलसल रहे।
जनीन् :– वह बच्चा जो माँ के पेट में हो।
'ह़' 'ح' से शुरूअ् होने वाले लफ़्ज़
हाजिब :– वह शख़्स है जिसकी मौजूदगी की वजह से किसी वारिस् (मय्यित की मीरास् पाने वाले) का हिस्सा कम होजाये या बिल'कुल ही ख़त्म होजाये।
हारिसा :– जिल्द के उस ज़ख़्म को कहते हैं जिसमें जिल्द पर ख़राश पड जाये मगर ख़ून न छनके।
हज :– एहराम बान्धकर नवीं जिल'हिज्जा को अ़रफ़ात में ठहरने और काबा मोअज़्ज़मा के त़वाफ़ का नाम हज है और उसके लिये एक ख़ास वक़्त मुक़र्रर है कि उसमें यह अफ़आल किये जायें तो हज है।
हज्जे बदल :– नाइब बनकर दूसरे की त़रफ़ से हज फ़र्ज़ अदा करना कि उसपर से फ़र्ज़ को साक़ित करे।
हज्ब :– वारिस् का हिस्सा किसी दूसरे वारिस् की मौजूदगी की बजह से या तो कम होजाये या बिलकुल ही खत्म होजाये।
हज्बे नुक़सान :– वारिस् के हिस्से का किसी दूसरे वारिस् की वजह से कम होजाना।
हज्बे हिरमान :– किसी वारिस् का दूसरे वारिस् की मौजूदगी की वजह से मीरास् पाने से महरूम होजाना।
हज्र :– किसी शख़्स के तसर्रुफ़ाते क़ौलिया (ज़बानी कलामी मुआमलात) रोक देने को हज्र कहते हैं।
हरबी :– वह काफ़िर जिसने मुसलमान से जिज़्या के एवज़ अ़क्दे ज़िम्मा (यानी अपनी जान व माल की हिफ़ाज़त का अ़हद) न किया हो।
हसद :– किसी शख़्स में ख़ूबी देखी उसको अच्छी ह़ालत में पाया उसके दिल में यह आरज़ू है कि यह नेमत उससे जाती रहे और मुझे मिल जाये।
हुकूमते अ़द्ल :– जिनायात मादूनन्नफ़्स (यानी क़त्ल के एलावा) में से जिनमें क़िसास़ नहीं और शारेअ् ने कोई अर्श भी मोअय्यन नहीं किया है उनमें जो तावान लाज़िम आता है उसको हुकूमते अ़द्ल कहते हैं।
हवाला :– दैन (क़र्ज़) को अपने ज़िम्मे से दूसरे के ज़िम्मे की तरफ़ मुन्तकिल करदेने को हवाला कहते हैं।
हैज़ :– बालिग़ा औरत के आगे के मक़ाम से जो ख़ून आ़दी तौर पर आता निकलता है और बीमारी या बच्चा पैदा होने के सबब से न हो तो उसे हैज़ कहते हैं।
'ग़' 'خ' से शुरूअ् होने वाले लफ़्ज़
ख़राज :– (ग़ैर मुस्लिम) पैदावार का कोई आधा हिस्सा या तिहाई या चौथाई वग़ैरह जो मुक़र्रर हो (वह इस्लामी मुल्क को अदा करें)
ख़म्र :– ख़म्र अंगूर की शराब यानी अंगूर का कच्चा पानी जिसमें जोश आजाये और शिद्दत पैदा होजाये कभी हर शराब को मजाज़न ख़म्र कहदेते हैं।
ख़ुन्सा मुश्किल :– जिसमें मर्द व औरत दोनों की अ़लामतें पाई जायें और यह स़ाबित न हो कि मर्द है या औरत।
ख़्यारे बुलूग़ :– बिग़ैर देखे कोई चीज़ ख़रीदना और देखने के बाद उस चीज़ के पसन्द न आने पर चाहे तो ख़रीदार बैअ् को फ़स्ख़ करदे इस इख़्तेयार को ख़्यारे रूयत कहते हैं।
ख़्यारे शर्त़ :– बाइअ् और मुश्तरी को यह हक़ हासिल है कि अ़क़्द में यह शर्त़ करदें कि अगर मन्जूर न हुआ तो बैअ् बाक़ी न रहेगी उसे ख़्यारे शर्त़ कहते हैं मगर यह इख़्तेयार तीन दिन से ज़्यादा का नहीं होसकता।

ख़्यारे ऐब :– बाइअ़ का मबीअ़ को ऐब बयान किये बिग़ैर बेचना या मुश्तरी का समन में ऐब बयान किये बिग़ैर चीज़ ख़रीदना और ऐब पर मुत्तलअ़ होने के बाद उस चीज़ के वापस करदेने के इख़्तेयार को ख़्यारे ऐब कहते हैं।

'ग़' 'غ' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़

दारुल'इस्लाम :– वह मुल्क है कि फ़िल'हाल उसमें इस्लामी सल्तनत हो या अब नहीं तो पहले थी और ग़ैर मुस्लिम बादशाह ने उसमें शआइरे इस्लाम मिस्ले जुमा व ईदैन व अज़ान व इक़ामत व जमाअ़त बाक़ी रखे (तो भी दारुल'इस्लाम है)

दारुल'हर्ब :– वह दार (मुल्क) जहाँ कभी सल्तनतें इस्लामी न हुई या हुई और फिर ऐसी ग़ैर कौम का तसल्लुत होगया जिसने शआइरे इस्लाम मिस्ले जुमा व ईदैन व अज़ान व इक़ामत व जमाअ़त यक'लख़्त उठादिये और शआइरे कुफ़्र जारी करदिये और कोई शख़्स अमाने अव्वल पर बाकी न रहा और वह जगह चारों तरफ़ से दारुल'इस्लाम में घिरी हुई नहीं तो वह दारुल'हर्ब है।

दामिआ :– सर की जिल्द के उस ज़ख़्म को कहते हैं जिसमें ख़ून छनक आये मगर बहे नहीं।

दामिया :– सर की जिल्द के उस ज़ख़्म को कहते हैं जिसमें ख़ून बहजाये।

दाइन :– वह शख़्स जिसका किसी पर दैन हो, क़र्ज़, उधार देने वाला।

दियानात :– इससे मुराद वही चीज़ें हैं जिनका तअल्लुक़ बन्दा और रब के माबैन है।

दियत :– उस माल को कहते हैं जो नफ़्स (जान) बदले में लाज़िम होता है।

दैन :– जो चीज़ वाजिब फ़िज़्ज़िम्मा हो किसी अ़क़्द मसलन बैअ़ या इजारा की वजह से या किसी चीज़ के हलाक करने से उसके ज़िम्मे तावान हो या क़र्ज़ की वजह से वाजिब हो, उन सबको दैन कहते हैं।

दैने मोअज्जल :– वह दैन जिसके लिये कोई मीआ़द मुक़र्रर हो।

दैने मीआ़दी :– वह दैन जिसके लिये कोई मीआ़द मुक़र्रर हो।

'ग़' 'غ' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़

ज़िम्मी :– ज़िम्मी उस काफ़िर को कहते हैं जिसके जान व माल की हिफ़ाज़त का बादशाहे इस्लाम ने जिज़्या के बदले ज़िम्मा लिया हो।

ज़विल'अरहाम :– क़रीबी रिश्तेदार, इल्मे फ़राइज़ की इस्तिलाह में इससे मुराद वह रिश्तेदार हैं जो न तो असहाबे फ़राइज़ में से हैं और न ही असबात में से हैं उन्हें ज़ी रहम महरम भी कहते हैं।

'ग़' 'غ' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़

राहिन :– जो शख़्स अपनी चीज़ किसी के पास गिरवी रखता है उसे राहिन कहते हैं।

रब्बुस्सलम :– बैअ़ सलम में ख़रीदार को रब्बुस्सलम कहते हैं।

रब्बुल'माल :– मुज़ारबत (तिजारत की एक ख़ास क़िस्म) में तिजारत के लिये माल देने वाले को रब्बुल'माल कहते हैं।

रजअ़त :– जिस औरत को रजई तलाक़ दी हो इद्दत के अन्दर उसे उसी पहले निकाह पर बाक़ी रखना।

रज़ाअ़त :– वह बच्चा जिसकी उम्र ढाई साल से कम हो उसका किसी औरत का दूध पीना रज़ाअ़त कहलाता है।

रुक़बा :– किसी को इस शर्त पर चीज़ देना कि अगर मैं तुझसे पहले मरगया तो यह तेरी।

रुक्न :– वह चीज़ जिसके साथ शय का क़ाइम होना दुरुस्त हो जैसे नमाज़ में रुकूअ़ वग़ैरह।

रहन :– दूसरे के माल को अपने हक़ में अपने पास इस लिये रोक रखना कि उसके ज़रियेअ़ से अपने हक़ को पूरे तौर पर या जुज़्वी तौर पर हासिल करना मुम्किन हो, कभी उस चीज़ को भी रहन कहते हैं जो रखी गई है।

रिया व सुम्आ :– रिया यानी दिखावे के लिये काम करना और सुम्आ यानी इस लिये काम करना कि लोग सुनेंगे और अच्छा जानेंगे।

रासुल'माल :– वह माल जो रब्बुल'माल (सरमायादार) ने तिजारत के लिये दिया हो।

'ग़' 'غ' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़

सजदए तहिय्यत :– यानी मुलाक़ात के वक़्त बतौरे इकराम किसी को सजदा करना, यह हराम है।

सदल :– कपड़े को कन्धे या सर के ऊपर से इस तरह लटकाना कि उसके दोनों किनारे लटकते रहें।

सिम्हाक़ :– वह ज़ख़्म जो सर की हड्डी के ऊपर की झिल्ली (बारीक खाल) तक पहुँचजाये।

सौत :– एक ख़ाविन्द की दो या दो से ज़्यादा बीवियां आपस में सौत (सौकन) कहलाती हैं।

सोग :– औरत का अय्यामे इद्दत में ज़ेबो ज़ीनत (बनाव श्रृंगार) को तर्क करदेना।

'ग़' 'غ' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़

शिजाज :– सर और चेहरे के ज़ख़्मों को शिजाज कहते हैं।

शराब :– लुग़त में पीने की चीज़ को शराब कहते हैं और इस्तिलाहे फ़ुक़हा में शराब उसे कहते हैं जिससे नशा होता है।

शिर्ब :– खेत की आब'पाशी या जानवरों को पानी पिलाने के लिये जो बारी मुक़र्रर करली जाती है उसको शिर्ब कहते हैं।

शर्त :– वह शय जो हक़ीक़ते शय में दाख़िल न हो लेकिन उसके बिग़ैर शय मौजूद न हो जैसे नमाज़ के लिये वुज़ू वग़ैरह।

शिर्क :– अल्लाह तआ़ला की ज़ात सिफ़ात में किसी दूसरे को शरीक करना शिर्क कहलाता है।

शिकार :– शिकार उस वहशी जानवर को कहते है जो आदमियों से भागता हो और बिगैर हीला न पकड़ा जासकता हो और कभी फ़ेअ्ल, जानवर के पकड़ने को भी शिकार कहते हैं।

शिर्कत :– शिर्कत ऐसे मुआमले का नाम है जिसमें दो अफ़राद सरमाया और नफ़ा में शरीक रहना तय करें।

शिर्कते अ़क्द :– दो शख़्स बाहम किसी चीज में शिर्कत का अ़क्द करें मसलन एक कहे मैं तेरा शरीक हूँ दूसरा कहे मुझे मन्जूर है।

शिर्कते इनान :– दो शख़्स किसी ख़ास नोअ् की तिजारत, या हर किस्म की तिजारत में शिरकत करें मगर हर एक दूसरे का ज़ामिन न हो सिर्फ़ दोनों शरीक आपस में एक दूसरे के वकील होंगे।

शिरकते मुफ़ावज़ा :– जिस शिरकत में हर एक शख़्स दूसरे का वकील व कफ़ील हो यानी हर एक का मुतालबा दूसरा वुसूल करसकता है और हर एक पर जो मुतालबा होगा दूसरा उसकी तरफ से ज़ामिन है और शिरकते मुफ़ावज़ा में यह जरूर है कि दोनों के माल बराबर हों और नफ़ा में दोनों बराबर के शरीक हों और तसर्रुफ़ व दैन में भी मसावात हो, लिहाजा आज़ाद व गुलाम में और ना'बालिग व बालिग में और मुसलमान व काफ़िर में और आक़िल व मजनून में और दो ना'बालिगों में और दो गुलामों में शिरकते मुफ़ावजा नहीं होसकती।

शुफ़आ :– ग़ैर मन्कूल जायदाद को किसी शख़्स ने जितने में खरीदा उतने ही में उस जायदाद के मालिक होने का हक़ जो दूसरे शख़्स को हासिल होजाता है उसको शुफ़आ कहते हैं।

शफ़ीअ् :– वह (पड़ोसी) शख़्स जिसे शुफ़आ का हक़ हासिल हो।

शहादत :– किसी हक़ के साबित करने के लिये मज्लिसे काज़ी में (यानी काज़ी के सामने) लफ्जे शहादत के साथ सच्ची ख़बर देने को शहादत या गवाही कहते हैं।

शैख़ैन :– सहाबा किराम में शैखैन से मुराद हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ और हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हुमा हैं। मुहद्देसीन की इस्तिलाह में शैख़ैन से मुराद इमाम बुखारी व इमाम मुस्लिम हैं। फुक़्हा की इस्तिलाह में इससे मुराद इमाम अबू'हनीफा और इमाम अबू'यूसुफ़ रहमतुल्लाहि तआला अ़लैहिम हैं।

'स' 'ص' से शुरूअ् होने वाले लफ़्ज़

साहिबैन :– इस्तिलाहे फ़ुक़्हा में इससे मुराद इमाम अबू'यूसुफ व इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अ़लैहिमा हैं।

सेहरीज :– बाज़ मकानों में हौज़ बना रखते हैं बरसाती पानी उसमें जमा करलेते हैं और अपने इस्तेअ्माल में लाते हैं अरबी में ऐसे हौज़ को सेहरीज कहते हैं।

सहीहैन :– हदीस् की दो मशहूर किताबें सहीह बुखारी व मुस्लिम।

सुलह :– नज़ाअ् (झगड़ा) दूर करने के लिये जो अ़क्द किया जाये उसको सुलह कहते हैं।

'त' 'ط' से शुरूअ् होने वाले लफ़्ज़

तरफ़ैन :– (किसी भी मुआमले के दो फरीक़) ख़रीद व फ़रोख़्त में तरफ़ैन से मुराद बाइअ् और मुश्तरी हैं।

तरफ़ैन :– इस्तिलाहे फ़ुक़्हा में इससे मुराद इमाम अबू'हनीफ़ा और इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अ़लैहिमा हैं।

तलाक़ :– निकाह से औरत शौहर की पाबन्द होजाती है इस पाबन्दी को उठा देने को तलाक़ कहते हैं।

तलाक़े बाइन :– वह तलाक़ जिसकी वजह से औरत, मर्द के निकाह से फ़ौरन निकल जाती है।

तलाक़े रजई :– वह तलाक़ जिसमें औरत इद्दत गुज़रने के पर निकाह से बाहर हो।

तलाक़े मुग़ल्लज़ा :– मर्द का अपनी बीवी को तीन तलाक़ें देना।

तलबे मुवास्बा :– जो शख़्स शुफ़आ करना चाहता है जैसे ही उसको उस जायदाद के फरोख़्त होने का इल्म हो फ़ौरन उसी वक़्त यह ज़ाहिर करदे कि मैं तालिबे शुफ़आ हूँ।

तलबे तक़रीर, तलबे इशहाद :– शफ़ीअ् (शुफ़अ करने वाला) बाइअ् या मुश्तरी या जायदादे मबीआ (फरोख्त शुदा जायदाद) के पास जाकर गवाहों के सामने यह कहे कि फुलां शख़्स ने यह जायदाद खरीदी है और मैं उसका शफ़ीअ् हूँ और उससे पहले मैं तलबे शुफ़आ कर चुका हूँ और अब फिर तलब करता हूँ तुम लोग इसके गवाह रहो।

तलबे तम्लीक :– शुफ़आ करने वाला काज़ी के पास जाकर यह कहे कि फुलां शख़्स ने फुलां जायदाद ख़रीदी है और फुलां जायदाद के ज़रीआ से मैं उसका शफ़ीअ् हूँ वह जायदाद मुझे दिलादी जाये।

'ज़' 'ظ' से शुरूअ् होने वाले लफ़्ज़

ज़िहार :– अपनी बीवी या उसके किसी जुज़ व शाइअ् या ऐसे जुज़ को जो कुल से ताबीर किया जाता हो ऐसी औरत से तशबीह देना जो उसपर हमेशा के लिये हराम हो या उसके किसी ऐसे उज़्व से तशबीह देना जिसकी तरफ़ देखना हराम हो मसलन कहा तू मुझपर मेरी माँ की मिस्ल है या तेरा सर या तेरी गर्दन या तेरा निस्फ़ मेरी माँ की पीठ की मिस्ल है।

'अ' 'ع' से शुरूअ् होने वाले लफ़्ज़

आरियत :– दूसरे शख़्स को किसी चीज़ की मन्फ़अत का बिग़ैर एवज मालिक करदेना आरियत है।

आक़िद :– अ़क्द करने वाला।

आक़िला :– आक़िला वह लोग कहलाते हैं जो क़त्ले ख़ता या क़त्ले शुब्हा अ़मद में ऐसे क़ातिल की तरफ़ से दियत अदा

करते हैं जो उनके मुतअल्लिकीन में से है और यह दियत इसालतन वाजिब हुई हो।

अब्दे माजून :— वह गुलाम जिसके आका ने उसे ख़रीद व फ़रोख़्त की इजाज़त देदी हो।

इद्दत :— निकाह ज़ाइल होने या शुब्हे निकाह के बाद औरत का निकाह से मम्नूअ़ होना और एक ज़माने तक इन्तिज़ार करना इद्दत है।

उश्र :— खेती की ज़मीन की पैदावार से जो ज़कात अदा कीजाती है (यानी पैदावार का दसवाँ हिस्सा) उसे उश्र कहते हैं (अगर बीसवाँ हिस्सा अदा करना लाज़िम हो तो उसे निस्फ़ उश्र कहते हैं)।

उश्री ज़मीन :— वह ज़मीन जिसकी पैदावार से उश्र अदा किया जाता है।

असबात :— असबा की जमा यानी वह लोग जिनके हिस्से (मीरास् में) मुकर्रर शुदा नहीं अल'बत्ता असहाबे फ़राइज़ से जो बचता है उन्हें मिलता है और अगर असहाबे फ़राइज न हों तो तमाम माल (तर्का) उन्ही में तकसीम होजाता है।

असबा नसबी :— वह रिश्तेदार हैं जिनके मुक़र्ररा हिस्से नहीं हैं बल्कि असहाबे फ़राइज से अगर कुछ बचता है तो उन्हें मिलता है।

असबा सबबी :— इससे मुराद वह शख़्स है जिसने कोई गुलाम आजाद किया हो और वह गुलाम मरगया हो और गुलाम का कोई रिश्तेदार न हो सिर्फ़ उसको आज़ाद करने वाला शख़्स हो अब उसका आका उसको आज़ाद करने के सबब उसकी मीरास् का मुस्तहक होगा उनको मौलल'इताका भी कहते हैं।

असबा बिनफ़सिही :— इससे मुराद वह मर्द है कि जब उसकी निस्बत मय्यित की तरफ़ कीजाये जबकि दरम्यान में कोई औरत न आये, मस्लन भतीजा वग़ैरह।

असबा बिग़ैरिही :— असबा बिग़ैरिही यह वह चार औरतें हैं जिनका मुक़र्ररा हिस्सा निस्फ़ या दो तिहाई है यह औरतें अपने भाईयों की मौजूदगी में असबा बन जायेंगी।

असबा मअ़ ग़ैरिही :— असबा मअ़ ग़ैरिही से मुराद वह औरत है जो दूसरी औरत के साथ मिलकर असबा बन जाती है जैसे हकीकी बहन या बाप शरीक बहन, बेटी होते हुए असबा बन जाती है।

अक्द :— आकिदैन (निकाह और खीद व फ़रोख़्त वग़ैरह करने वालों) में से एक का कलाम दूसरे के साथ अज़रूए शरअ़ के इसतरह मुतअल्लिक होना कि उसका अस्र महल (मअ़कूद अलैहि) में ज़ाहिर हो।

अकीका :— बच्चा पैदा होने के शुक्रिया में जो जानवर ज़िबह किया जाता है उसको अकीका कहते हैं।

अल्लाती :— बाप शरीक बहन, भाई यानी जिनका बाप एक हो और मायें अलग-अलग हों।

इल्मुल'फ़राइज़ :— वह इल्म जिसके ज़रिएअ़ मीरास् के मसाइल मालूम किये जाते हैं।

उमरा :— उम्र भर के लिये किसी को कोई चीज़ देदेना कि वह मरगया तो वापस लेलूँगा।

इन्नीन :— इन्नीन उस शख़्स को कहते हैं कि उसका उज़्वे मख़्सूस तो हो मगर अपनी बीवी से आगे के मकाम में दुख़ूल न करसके, नामर्द।

औल :— औल से मुराद इस्तिलाहे फ़राइज़ में यह है कि मख़्रजे मसअ्ला जब वुरसा के हिस्सों पर पूरा न होता हो यानी हिस्से ज़्यादा हों और मख़्रज का अदद हिस्सों के मजमुई अअ़दाद से कम हो तो मख़्रज मसअ्ला के अदद में इज़ाफ़ा करदिया जाता है।

ऐब :— ऐब वह है जिस से ताजिरों की नज़र में चीज़ की कीमत कम होजाये।

'ग़' 'غ' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़

गासिब ग़स्ब करने वाला :— ग़स्ब करने वाला यानी नाजाइज़ कब्ज़ा करने वाला।

ग़िब्ता :— किसी शख़्स में ख़ूबी देखी उसको अच्छी हालत में पाया उसके दिल में यह तमन्ना है कि मैं भी वैसा होजाऊँ मुझे भी वह नेअ्मत मिल जाये यह हसद नहीं इसको ग़िब्ता कहते हैं जिसको लोग रश्क भी कहते हैं।

ग़ब्ने फ़ाहिश :— सख़्त किस्म की ख़्यानत, मुराद ऐसी कीमत से ख़रीद व फ़रोख़्त करना जो कीमत लगाने वालों के अन्दाज़े से बाहर हो मस्लन कोई चीज़ दस रूपये में ख़रीदी लेकिन उसकी कीमत छः सात रूपये लगाई जाती है कोई शख़्स उसकी कीमत दस रूपये नहीं लगाता तो यह ग़ब्ने फ़ाहिश है।

ग़ब्ने यसीर :— ऐसी कीमत से ख़रीद व फ़रोख़्त करना जो कीमत लगाने वालों के अन्दाज़ा से बाहर न हो मस्लन कोई चीज दस रूपये में ख़रीदी, कोई शख़्स उसकी कीमत आठ बताता है कोई नौ तो कोई दस तो यह ग़ब्ने यसीर है।

ग़ुर्रा :— हमल की दियत को ग़ुर्रा कहते हैं और यह पाँच सौ दिरहम है।

ग़सब :— माले मुतकव्विम, मोहतरम, मन्कूल यानी ऐसा माल जो शरई लिहाज़ से काबिले कीमत और उसका लेना हराम हो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मुन्तकिल किया जासके उससे जाइज़ कब्ज़े को हटाकर नाजाइज़ कब्ज़ा करना ग़सब कहलाता है जबकि यह कब्ज़ा हकीकतन न हो।

ग़ुलामे माज़ून :— वह गुलाम जिसके आका ने उसे ख़रीद व फ़रोख़्त की इजाज़त देदी हो।

ग़नीमत :— यह माल जो जिहाद फ़ी'सबीलिल्लाह के ज़रियेअ़ ताकत के ज़ोर से हरबी काफ़िरों से हासिल किया जाता है।

ग़ीबत :— किसी शख़्स के पोशीदा ऐब को (जिसको वह दूसरों के सामने ज़ाहिर होना पसन्द न करता हो) उसकी बुराई करने के तौर पर ज़िक्र करना।

ग़ैर मुस्तामिन :– वह शख़्स है जो दूसरे मुल्क में (जिसमें ग़ैर क़ौम की सल्तनत हो) अमान लिये बिग़ैर गया हो यानी हरबी दारुल'इस्लाम में या मुसलमान दारुल'कुफ़्र में अमान लिये बिग़ैर गया हो।
'ग' 'ف' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़
फ़र्ज़े किफ़ाया :– फ़र्ज़े किफ़ाया वह होता है जो कुछ लोगों के अदा करने से सब की जानिब से अदा होजाता है (यानी सब बरीउज्ज़म्मा होजाते हैं) और कोई भी अदा न करे तो सब गुनाहगार होते हैं जैसे नमाज़े जनाज़ा वग़ैरह।
फ़क़ीर :– वह शख़्स है जिसके पास कुछ हो मगर न इतना कि निसाब को पहुँच जाये या निसाब की मिक़दार हो तो उसकी हाजते अस्लिया में मुस्तग़रक़ हो।
'ग' 'ق' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़
क़त्ले अ़मद :– किसी धारदार हथयार से क़स्दन क़त्ल करना क़त्ले अ़मद कहलाता है मसलन छुरी, ख़न्जर, तीर, नेज़ा वग़ैरह से किसी को क़स्दन क़त्ल करना।
क़त्ले शिब्हे अ़मद :– किसी को क़स्दन क़त्ल करे मगर हथयार या जो चीज़ें हथयार के क़ाइम मक़ाम हैं उनसे क़त्ल न करे मसलन लाठी से मार डाले।
क़त्ले ख़ता :– ऐसा क़त्ल जो ख़ताअ़न (ग़ल्ती से, भूल से) सरज़द होजाये, ख़ता चाहे फ़ेअ़्ल में हो या गुमान में जैसे शिकार को गोली मारी और किसी इन्सान को जा'लगी या मुरतद समझकर क़त्ल किया लेकिन वह मुसलमान था।
क़त्ल क़ाइम मक़ाम ख़ता (शिब्हे ख़ता) :– (ऐसा फ़ेअ़्ल जिसमें क़ातिल के फ़ेअ़्ले इख़्तियारी को दख़्ल न हो) जैसे कोई शख़्स सोते में किसी पर गिर'पड़ा और वह मरगया या छत से किसी इन्सान पर गिरा और वह मरगया।
क़त्ल बिस्सबब :– (ऐसा क़त्ल जिसका सबब क़ातिल का फ़ेअ़्ल हो मसलन) किसी शख़्स ने दूसरे की मिल्क में कुआं खोदा या पत्थर रखदिया या रास्ते में लकड़ी रखदी और कोई शख़्स कुएं में गिरकर या पत्थर और लकड़ी से ठोकर खाकर मरगया।
क़र्ज़ :– दैन की एक ख़ास सूरत का नाम क़र्ज़ है, जिसको लोग दस्तगर्दां कहते हैं।
क़सामत :– क़सामत का मतलब यह है कि किसी जगह मक़तूल पाया जाये और क़ातिल का पता न हो और औलियाए मक़तूल अहले मुहल्ला पर क़त्ले अ़मद या क़त्ले ख़ता का दावा करें और अहले मुहल्ला इनकार करें तो इस मुहल्ले के पचास आदमी क़सम खायें कि न हमने उसको क़त्ल किया है और न हम क़ातिल को जानते हैं।
क़िसास :– फ़ाइल (यानी ज़ालिम) के साथ वैसा ही सुलूक करना जैसा उसने (दूसरे के साथ) किया मसलन हाथ काटा तो उसका भी हाथ ही काटा जाये।
क़ीरात :– क़ीरात अस्ल में निस्फ़ दानिक़ (यानी दिरहम का बारहवां हिस्सा) है।
क़ियमी :– हर वह चीज़ जिसकी मिस्ल बाज़ार में न पाई जाये।
'ग' 'ک' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़
कफ़्फ़ारा :– वह सज़ा जो किसी गुनाह की तलाफ़ी के लिये शरअ़न मुक़र्रर होती है जैसे रोज़ों का कफ़्फ़ारा।
कफ़्फ़ारा यमीन :– वह सज़ा जो क़सम तोड़ने पर शरअ़न मुक़र्रर होती है।
कफ़्फ़ारा क़त्ले ख़ता :– ख़ता से किसी को क़त्ल करने से जो कफ़्फ़ारा लाज़िम होता है उसको कफ़्फ़ारा क़त्ले ख़ता कहते हैं।
कफ़ालत :– एक शख़्स अपने ज़िम्मे को दूसरे के ज़िम्मे के साथ मुतालबे में ज़म करदे यानी दूसरे की मुतालबे की ज़िम्मेदारी अपने ज़िम्मे लेले।
कफ़ील :– (ज़ामिन) वह शख़्स जो दूसरे के मुतालबे की ज़िम्मेदारी अपने ज़िम्मे लेलेता है।
कलाला :– वह शख़्स जिसके मरने के वक़्त कोई औलाद न हो और माँ, बाप भी न हों।
किनाया :– ऐसा कलाम जिसका मुरादी माना चाहे हक़ीक़ी हो या मजाज़ी ज़ाहिर न हो अगर्चे लुग़वी माना ज़ाहिर हो।
गवाही :– शहादत को गवाही कहते हैं।
'ग' 'ل' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़
लहन :– इस्तिलाहे क़ुर्रा में लहन से मुराद तजवीद के ख़िलाफ़ पढ़ना है।
लुक़ता :– उस माल को कहते हैं जो पड़ा हुआ कहीं मिल जाये।
लक़ीत :– लक़ीत उस बच्चे को कहते हैं जिसको उसके घर वाले ने अपनी तंगदस्ती या बदनामी के ख़ौफ़ से फेंकदिया हो।
'ग' 'م' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़
माले मुतक़व्विम :– वह माल जो जमा किया जासकता हो और शरअ़न उससे नफ़ा उठाना मुबाह हो।
मुबाह :– इस्तिलाहे शरअ़ में मुबाह उसको कहते हैं जिसके करने और छोड़ने दोनों की इजाज़त हो।
मबीअ़ :– फ़रोख़्त'शुदा चीज़, वह चीज़ जो बेची जारही हो।
मुत'रद्दिया :– वह जानवर जो कुएं में या पहाड़ से गिरकर मरा हो।
मुत'लाहिमा :– वह ज़ख़्म जिसमें सर का गोश्त भी फटजाये।
मुसल्लस :– अंगूर का शीरा जो इस क़दर पकाया जाये कि दो तिहाई ख़ुश्क होजाये और एक तिहाई बाक़ी रहजाये।

मिस्ली :– हर वह चीज़ जिसकी मिस्ल बाज़ार में क़ाबिले शुमार फ़र्क़ के बिग़ैर पाई जाये।

मजनून :– जिसकी अ़क्ल ख़त्म होगई हो बिला वजह लोगों को मारे गालियां दे शरीअ़त ने उसमें कोई अपनी इस्तिलाहे जदीद मुक़र्रर नहीं फ़रमाई (मजनून) वही है जिसे फ़ारसी में दीवाना उर्दू में पागल कहते हैं।

महजूब :– ऐसा वारिस् जिसका हिस्सा किसी दूसरे वारिस् की मौजूदगी की वजह से कम होजाये या बिल'कुल ख़त्म होजाये उसे महजूब कहते हैं।

मोहरिम :– वह शख़्स जिसने हज या उ़मरे की नियत से एहराम बान्धा हो।

महरूम :– इस से मुराद वह वारिस् है जो मीरास् से किसी सबब की वजह से शरअ़न महरूम होजाता है मस्लन गुलाम होने की वजह से या मूरिस् का क़ातिल होने की वजह से।

मख़्रज :– इस्तिलाहे फ़राइज़ में मख़रज से मुराद वह छोटे से छोटा अ़दद जिसमें से तमाम वुरसा को बिला कस्र उनके हिस्से तक़सीम किये जासकें।

मुदब्बर :– वह गुलाम जिसकी निस्बत मौला (मालिक) ने कहा कि तू मेरे मरने के बाद उसका आज़ाद होना साबित होता हो।

मुदब्बरा :– ऐसी लौन्डी जिसे मालिक ने यह कहा हो कि मेरे मरने के बाद तू आज़ाद है या ऐसे अल'फ़ाज़ कहे हों जिनसे मौला के मरने के बाद उसका आज़ाद होना साबित होता हो।

मुद्दई :– दावा करने वाला।

मुद्दआ'अ़लैहि :– जिसपर दावा किया जाये।

मदयून :– जिसके जिम्मे किसी का वाजिबुल'अदा हक़ (दैन) हो, मक़रूज।

मुराबहा :– कोई चीज़ ख़रीदी और उसपर कुछ ख़र्चे किये फिर क़ीमत और ख़र्चों को ज़ाहिर करके उसपर एक नफ़ा की मिक़दार बढ़ाकर उसको फ़रोख़्त करदेना उसे मुराबहा कहते हैं।

मुराहिक़ :– वह लड़का जो अभी बालिग़ न हुआ मगर उसके हमउम्र बालिग़ होगये हों, उसकी मिक़दार बारह बरस की उम्र है।

मुरतद :– वह शख़्स है कि इस्लाम के बाद किसी ऐसे अम्र का इन्कार करे जो ज़रूरियाते दीन से हो यानी ज़बान से कलिमाए कुफ़्र बके जिसमें तावीले सहीह की गुन्जाइश न हो यूंही बाज़ अफ़आल भी ऐसे हैं जिनके करने से काफ़िर होजाता है मस्लन बुत को सजदा करना, मुस्हफ़ शरीफ़ को निजासत की जगह फेंकदेना। (नऊ़ज़ु'बिल्लाह)

मुरतहिन :– जिस शख़्स के पास कोई चीज रहन रखी जाये वह मुरतहिन कहलाता है।

मर्ज़ल'मौत :– किसी मर्ज के मर्ज़ुल'मौत होने के लिये दो बातें शर्त हैं एक यह कि उस मर्ज में ख़ौफ़े हलाक व अन्देशाए मौत क़ुव्वत व गल्बे के साथ हो, दोम यह कि उस ग़लबए ख़ौफ़ की हालत में उसके साथ मौत मुत्तसिल हो अगर्चे उस मर्ज़ से न मरे, मौत का सबब कोई और होजाये।

मरहून :– उस चीज़ को कहते हैं जो गिरवी रखी गई।

मुज़ारअ़त :– किसी को अपनी ज़मीन इस तौर पर काश्त के लिये देना कि जो कुछ पैदावार होगी दोनों में मस्लन निस्फ़ निस्फ़ या एक तिहाई, दो तिहाईयां तक़सीम होजायेगी उसको मुज़ारअ़त कहते हैं।

मुसाबक़त :– चन्द शख़्स आपस में यह तय करें कि कौन आगे बढ़ जाता है जो सबक़त लेजाये उसको यह दिया जायेगा।

मुसाक़ात :– बाग़ या दरख़्त किसी को इस लिये देना कि उसकी ख़िदमत करे और जो कुछ उससे पैदावार होगी उसका एक हिस्सा काम करने वाले को और एक हिस्सा मालिक को दिया जायेगा उसका दूसरा नाम मुआ़मला भी है।

मुस्ताजिर :– किरायेदार को मुस्ताजिर भी कहते हैं।

मुस्तामिन :– वह शख़्स है जो दूसरे मुल्क में (जिसमें ग़ैर क़ौम की सल्तनत हो) अमान लेकर गया यानी हरबी दारुल'इस्लाम में या मुसलमान दारुल'कुफ़्र में अमान लेकर गया तो मुस्तामिन है।

मुस्तआर :– (आ़रियत दी हुई) चीज को मुस्तआर कहते हैं।

मुस्तईर :– जिसको चीज़ दीगई वह मुस्तईर है।

मस्तूरुल'हाल :– वह शख़्स जिसकी अ़दालत और फ़िस्क़ (यानी नेक, बद होना) लोगों पर ज़ाहिर न हो।

मिस्कीन :– वह शख़्स है जिसके पास कुछ न हो यहाँ तक कि खाने और बदन छुपाने के लिये उसका मोहताज है कि लोगों से सवाल करे।

मुस्लम इलैहि :– बैअ़ सलम में चीज़ बेचने वाले को मुस्लम इलैहि कहते हैं।

मुस्लम फ़ीह :– जिस चीज़ पर अ़क़्दे सलम हो उसको मुस्लम फ़ीह कहते हैं, मबीअ़।

मुशाअ़ :– उस चीज़ को कहते हैं जिसके एक जुज़्वे ग़ैर मोअ़य्यन का यह मालिक हो और दूसरा भी उसमें शरीक हो और दोनों के हिस्सों में इम्तियाज़ न हो।

मुश्तरी :– ख़रीदार को मुश्तरी कहते हैं।

मुश्तहात :– क़ाबिले शहवत लड़की जो नौ बरस से कम उम्र की न हो।

मुज़ारिब :– मुज़ारबत में काम करने वाला।

मुज़ारबत :– यह तिजारत में एक किस्म की शिरकत है कि एक जानिब से माल हो और एक जानिब से काम।
मुज़ारबते मुतलक़ा :– ऐसी मुज़ारबत जिसमें ज़मान व मकान और किस्मे तिजारत की तअ़ईन नहीं होती।
मुतल्लक़ा रजईया :– वह औरत जिसे रजई तलाक़ दी गई हो।
मअ़तूह :– (बोहरा) जिसकी अ़क्ल ठीक न हो तदबीरे मुख़्तल (यानी होश व हवास में ख़राबी) हो कभी आक़िलों की सी बात करे कभी पागलों की सी मगर मजनूं की तरह लोगों को महज़ बेवजह मारता गालियां देता ईंटें फेंकता न हो।
मुईर :– जिसकी चीज़ है उसे मुईर कहते हैं।
मग़सूब :– जिस चीज़ पर नाजाइज क़ब्ज़ा हुआ।
मग़सूब मिन्हु :– (ग़सब शुदा चीज़ का) मालिक।
मफ़कूदुल'ख़बर :– वह शख़्स जिसका कोई पता न हो और यह भी मालूम न हो कि ज़िन्दा है या मरगया है।
मुफ़्लिस :– मुफ़्लिस वह है न उसके पास रूपया है न सामान।
मकरूहे तहरीमी :– जिसकी मुमानअत दलीले ज़न्नी से लुज़ूमन साबित हो, यह वाजिब का मुक़ाबिल है।
मकरूहे तन्ज़ीही :– वह अमल जिसे शरीअ़त ना'पसन्द रखे मगर उस अ़मल पर शरीअत की तरफ़ से अज़ाब की वईद न हो, यह सुन्नते ग़ैर मोअक्कदा के मुक़ाबिल है।
मुकरेह :– मजबूर करने वाला।
मुकरह :– जिसे मजबूर किया जाये।
मकफ़ूल बिही :– जिस चीज़ की कफ़ालत की वह मकफ़ूल बिही है।
मकफ़ूल अ़न्हु :– जिसपर मुतालबा है (यानी मक़रूज़) वह असील व मकफ़ूल अ़न्हु है।
मकफ़ूल लहू :– जिसका मुतालबा है उसको तालिब व मकफ़ूल लहू (दाइन) कहते हैं।
मकील :– नाप से बिकने वाली चीज़ें।
मुल्तक़ित :– गिरी पड़ी चीज़ या लक़ीत के उठाने वाले को मुल्तक़ित कहते हैं।
मुनासख़ा :– इल्मे फ़राइज़ की इस्तिलाह में इससे मुराद यह है कि मय्यित के तर्के की तक़सीम से पहले ही अगर किसी वारिस् का इन्तिक़ाल होजाये तो उसका हिस्सा उसके वारिसों की तरफ़ मुन्तक़िल करदिया जाये।
मन्दूब :– ऐसा फ़ेअ़ल जिसका करना बाइसे सवाब हो और तर्क करना (यानी छोड़ना) बुरा न हो।
मुनक़्क़िला :– वह ज़ख़्म जिसमें सर की हड्डी टूटकर हट जाये।
मनीहा :– उस जानवर को कहते हैं जो दूसरे ने उसे इसलिये दिया है कि यह कुछ दिनों उसके दूध वग़ैरह से फ़ायदा उठाये फिर मालिक को वापस करदे।
मवात :– वह ज़मीन जो आबादी से फ़ासिले पर हो, न किसी की मिल्क हो और न किसी की हक़्क़े ख़ास हो।
मूजिर :– आजिर को मूजिर भी कहते हैं।
मूदेअ् :– जिस शख़्स ने हिफ़ाज़त के लिये कोई चीज़ किसी के पास रखदी जिसकी चीज़ है उसे मूदेअ् कहते हैं।
मूदअ् :– जिसकी हिफ़ाजत में (वदीअत शुदा चीज़) दीगई उसे मूदअ् कहते हैं।
मौज़ून :– वज़न से बिकने वाली चीज़ें।
मूसी :– वसियत करने वाला यानी जो किसी शख़्स को अपनी वसियत पूरी करने के लिये मुक़र्रर करे।
मूसा बिही :– जिस चीज़ की वसियत की जाये वह मूसा बिही कहलाती है।
मूसा'लहू :– जिसके लिये माल वग़ैरह देने की वसियत कीजाये उसको मूसा'लहू कहते हैं।
मूदेहा :– वह ज़ख़्म जिसमें सर की हड्डी नज़र आजाये।
मौकूज़ह :– वह जानवर जो चोट खाने से मरा हो।
मोअक्किल :– वकील करने वाला।
मौलल'मवालात :– एक शख़्स आक़िल, बालिग़ किसी के हाथ पर मुशर्रफ़ ब'इस्लाम हुआ उस नो मुस्लिम ने उससे या किसी दूसरे से मवालात की यानी यह कहा कि अगर मैं मरजाऊँ तो मेरा वारिस् तू है और मुझ से कोई जनायत हो तो दियत तुझे देनी होगी उसने क़बूल करलिया यह मवालात सहीह है इसका नाम मौलल'मवालात है।
मौलल'इताक़ा :– इसे अ़स्बा सबबी भी कहते हैं।
मौहूब :– वह चीज़ जो हिबा (तोहफ़े) में दीजाये।
मौहूब'लहू :– जिसको हिबा दिया जाये उसे मौहूब'लहू कहते हैं।

'ग़' 'ن' से शुरूअ् होने वाले लफ़्ज़

नजश :– कोई शख़्स मबीअ् (बेची जाने वाली चीज़) की क़ीमत बढाये और ख़ुद ख़रीदने का इरादा न रखता हो उससे मक़सूद यह होता है कि दूसरे ग्राहक को रग़बत पैदा हो और क़ीमत से ज़्यादा देकर ख़रीदले और यह हक़ीक़तन ख़रीदार को धोका देना है।

नह्र :— (ऊँट के) हल्क़ के आख़िरी हिस्से में नेज़ा वग़ैरह भोंक कर (दाख़िल करके) रगें काटदेना।
नज़्र :— इस्तिलाहे शरअ़ में वह इबादते मकसूदा है जो जिन्से वाजिब से हो और वह ख़ुद बन्दे पर वाजिब न हो, मगर बन्दे ने अपने क़ौल से उसे अपने ज़िम्मे उसे वाजिब करलिया हो मसलन यह कहा कि मेरा यह काम होजाये तो दस रकात नफ़्ल अदा करूँगा इसे नज़्रे शरई कहते हैं।
नज़्रे उरफ़ी :— अल्लाह के वलियों के नाम की जो नज़्र मानी जाती है उसे नज़्रे (उरफ़ी और) लुग़वी कहते हैं इसका माना नज़राना है जैसे कोई शागिर्द अपने उस्ताद से कहे कि यह आप की नज़्र है यह बिल'कुल जाइज़ है यह बन्दों की होसकती है मगर इसका पूरा करना शरअ़न वाजिब नहीं मसलन ग्यारहवीं शरीफ़ की नज़्र और फ़ातिहा बुज़ुर्गाने दीन वग़ैरह।
नज़्रे लुग़वी :— नज़्रे उरफ़ी को नज़्रे लुग़वी भी कहते हैं।
निस्बते तबायुन :— अगर दो मुख़्तलिफ़ अ़दद इस क़िस्म के हों कि न तो वह आपस में एक दूसरे को काटें (तक़सीम करें) और न ही कोई तीसरा उनको काटे तो उन में निस्बते तबायुन है जैसे 19 और 10.
निस्बते तदाख़ुल :— दो मुख़्तलिफ़ अ़ददों में छोटा अ़दद अगर बड़े को काटदे यानी बड़ा छोटे पर पूरा पूरा तक़सीम होजाये तो उन दोनों में निस्बते तदाख़ुल है जैसे 16 और 4.
निस्बते तमासुल :— अगर दो अ़दद आपस में बराबर हैं तो उन में निस्बते तमासुल है जैसे 4=4 ।
निस्बते तवाफ़ुक़ :— दो मुख़्तलिफ़ अ़ददों में से अगर छोटा बडे को न काटे बल्कि एक तीसरा अ़दद दोनों को काटे तो उन दोनों में निस्बते तवाफ़ुक होगी जैसे 8 और 20 कि इन्हें चार काटता है।
नतीहा :— वह जानवर जो किसी जानवर के सींग मारने की वजह से मरगया हो।
निफ़ास :— वह ख़ून जो बालिग़ा औरत के आगे के मकाम से बच्चा पैदा होने के बाद निकलता है।
नफ़क़ा :— नफ़क़ा से मुराद खाना, कपड़ा और रहने का मकान है।

'ग' 'و' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़

वदीअ़त :— जो माल किसी के पास हिफ़ाज़त के लिये रखा जाये उस माल को 'वदीअ़त' और 'अमानत' कहते हैं।
वसी :— वसी उस शख़्स को कहते हैं जिसको वसियत करने वाला (मूसी) अपनी वसियत पूरी करने के लिये मुक़र्रर करे।
वसियत :— बतौर एहसान किसी को अपने मरने के बाद अपने माल या मन्फ़अ़त का मालिक बनादेना।
वसियते वाजिबा :— ज़कात की वसियत और कफ़्फ़ाराते वाजिबा की वसियत और सदक़ा, रोज़ा व नमाज़ की वसियत को वसियते वाजिबा कहते हैं।
वसियते मकरूहा :— जैसे अहले फ़िस्क़ व मअ़सियत के लिये वसियत जब यह गुमान ग़ालिब हो कि वह माले वसियत गुनाह में ख़र्च करेंगे।
वसियते मुबाहा :— जैसे अग़निया यानी मालदारों के लिये वसियत करना।
वसियते मुस्तहब्बा :— वसियते वाजिबा, मकरूहा और मुबाहा के इलावा कोई और वसियत करना वसियते मुस्तहब्बा कहलाता है।
वती बिश्शुबह :— शुबह के साथ वती करना, यानी औरत से वती हलाल न हो मगर उसे किसी वजह से हलाल समझकर वती करना जैसे औरत तलाके मुग़ल्लज़ा की इद्दत में हो और हलाल समझकर उससे वती करले यह वती बिश्शुबह है।
वक़्फ़ :— किसी शय (चीज़) को अपनी मिल्क से ख़ारिज करके ख़ालिस अल्लाह तआ़ला की मिल्क करदेना इस तरह कि उसका नफ़ा बन्दगाने ख़ुदा में से जिसको चाहे मिलता रहे।
वली :— वली वह है जिसका हुक्म दूसरे पर चलता हो दूसरा चाहे या न चाहे।

'ग' 'ه' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़

हाशिमह :— वह ज़ख़्म जिसमें सर की हड्डी टूट जाये।
हिब्बह :— तोहफ़ा देना किसी शख़्स को एवज़ के बिग़ैर किसी चीज़ का मालिक बनादेना।

'ग' 'ی' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़

यमीन :— क़सम, ऐसा अ़क्द जिसके ज़रीए क़सम खाने वाला किसी काम के करने या न करने का पुख़्ता इरादा करता है।

बहारे शरीअत हिस्सा 1 से 20 तक के कुछ मुश्किल अलफ़ाज़ और उनके माना

('अ' और 'इ' ا) से शुरूअ़ होने वाले शब्द

अबदी : जो हमेशा रहे, **इजमालन** : मुख़्तसरन। **अख़लाके रज़ीला** : बुरी आदतें। **इस्तिहज़ा** : हंसी, मजाक ठठ्ठा करना। **उलुल'अ़ज्म** : बलन्द व बाला, इज़्ज़त व अज़मत और हौसले वाले। **इन्स** : इन्सान। **अफ़ज़लुल'इबादात** : तमाम इबादतों से अफ़ज़ल। **अकारत** : ज़ायेअ़, बर्बाद। **अदक़** : निहायत मुश्किल। **अंगुश्तरी** : अंगूठी। **अख़बसुन्नास** : लोगों मे ख़बीस्तरीन। **इआदा** : दोबारा अदा करना। **अन्देशा** : फ़िक्र, ख़ौफ़, ख़याल। **इत्तिबाअ़** : पैरवी करना। **ओझल** : पोशीदा। **अगल बगल** : आसपास।

ईंधन : जलाने की चीज़। **इदराक** : इहाता करना, पाना, दरयाफ्त करना। **उलूहियत** : मअ़बूद होना। **अख़लाके फ़ाज़िला** : अच्छी आदतें। **अबुल'बशर** : सब इन्सानों के बाप मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। **इस्लाह'पज़ीर** : इस्लाह कबूल करने वाला। **अहकामे तबलीग़िया** : अहकामे शरीअत। **एअ़तिक़ादे'अज़मत** : क़द्र व मन्ज़िलत का अक़ीदा। **अहकामे तशरीईया** : शरई अहकाम। **अलम** : दर्द। **अजज़ाये अस्लिया** : असली अजज़ा। **अबदुल'अबाद** : हमेशा। **अज़ल** : जो हमेशा से हो। **इल्तिफ़ात** : मुतवज्जेह होना। **इत्तिसाल** : मिलाप। **इम्तियाज़** : फ़र्क़, तर्जीह। **इल्तिज़ाम** : किसी बात को लाज़िम करलेना, ज़रूरी करलेना। **इश्ग़ाल** : काम, मशग़ूल होना। **अफ़्शां** : सोने चाँदी का बुरादा या मुकय्यश की बारीक कतरन।

इस्तेहक़ाक़ : हक तलब करना, **इक़ामत** : कयाम करना, ठहरना। **इक़्तिदा–ए–ज़न** : औरतों का मुकतदी होना। **अदईया** : दुआयें। **इतमाम** : मुकम्मल करना। **उम्मी** : अनपढ़। हुज़ूर के लिये जब उम्मी बोला जायेगा तो उसके माना होंगे 'जिसने किसी से लिखना पढ़ना न सीखा हो। **एअ़राबी ग़ल्तियां** : ज़बर, ज़ेर, पेश की ग़ल्तियां। **ऊला** : पहला। **अहवाल** : हौल की जमा, ख़ौफ़, घबराहट। **अगर** : एक किस्म की लकडी जो जलाने से ख़ुशबू देती है। **इस्तेहबाब** : मुस्तहब होना। **इफ़ाक़ा** : मर्ज़ में कमी। **इबाहत** : जाइज़ करदेना, मुबाह करदेना। **अव्वल, अव्वल** : शुरूअ़ में, आगे आगे। **इस्तिख़फ़ाफ़** : हल्का समझना, हक़ीर समझना। **इर्तिदाद** : मुर्तद होना। **इन्तिशार** : शहवत, तितर बितर होना। **इक्तिफ़ा** : काफ़ी समझना, किफ़ायत करना। **परा** : सफ़। **अजीर** : उजरत पर काम करने वाला। **इस्मे जलालत** : अल्लाह तआला का नाम। **इआनत** : मदद। **इक़्तिसार** : इक्तिफ़ा। **इन्हिराफ़** : फिर जाना। **औला** : बेहतर। **असना–ए–ख़ुतबा** : ख़ुतबे के दौरान। **इख़्तिलात** : मेल, जोल। **अंख्यारा** : आँखों वाला। **अज़दहाम** भीड़। **इमामते ज़नां** : औरतों की इमामत। **अफ़वाह** : बे अस्ल बात। **अन्जान** : ना'वाकिफ़। **इज़्न** : इजाज़त। **अय्यामे'नहर** : क़ुर्बानी के दिन। **औन्धा लेटना** : पेट के बल लेटना। **अपाहिज** : लूला, लंगडा। **औराद** : वज़इफ़। **इआदा** : लौटाना। **अदना** : कम से कम। **अस्तर** : नीचे की तह। **अस्तबल** : घोड़े बान्धने की जगह। **ईमान बिल'ग़ैब** : ग़ैब पर ईमान लाना। **अअ़जूबा** : अजीब चीज़। **असनाफ़** : किस्में। **अब्र** : बादल। **अज़कार** : वज़ाइफ़। **असमा–ए–तय्यिबा** : पाकीज़ा नाम। **अज़कारे तवीला** : बड़े बड़े वज़ाइफ़। **अइज़्ज़ा** अज़ीज़ की जमा, रिश्तेदार। **अचकन** : एक लिबास जो कपड़ों के ऊपर पहना जाता है। **उन्स्यैन** : ख़ुसये, फोते। **असनाए अज़ान** : अज़ान के दौरान। **इज़्दहाम** : भीड़। **असनाए नमाज़** : नमाज़ के दौरान। **अबरा** : ऊपर की तह। **उफ़तां व ख़ेज़ां** : गिरत पड़ते, बदहवासी की हालत में। **इत्तिबाए हक़** : हक़ की पैरवी। **इस्तिमदाद** : मदद चाहना। **इज्तिाअ़ व फ़िराक़** : मजमा व तन्हाई। **अमरद** : वह लड़का या मर्द जिसको देखने या छूने से शहवत पैदा होती है। **ब'तरीक़े मसनून** : सुन्नत के मुताबिक़। **औलिय–ए–मय्यित** : मरने वाले के सर'परस्त। **उगलदान** : थूकने का बर्तन। **आतिशज़दगी** : आग लगने। **इज़्न** : इजाज़त, **इग़लाम** : लड़कों के साथ बदफ़ेली करना, **इआनत** : मदद करना, **अम्र** : बात, हुक्म, **अहवत** : ज़्यादा मोहतात। **इआदा किया** : दोहराया। **उमूर** : मुआमलात। **औलिया** : वली की जमा, सरपरस्त। **इन्ज़ाल** : मनी का निकलना। **अरज़ानी** : सस्ताई। **एअ़ज़ाज़** : इज़्ज़त, मरतबा। **अन्देशा** : फ़िक्र, ख़ौफ़, खटका। **असासुल'बैत** : घरेलू सामान। **अपाहिज** : चलने फिरने से माज़ूर। **इत्तिसाल** : मिला हुआ होना। **अन्दामे नहानी** : औरत की शर्मगाह। **इज़ाफ़त** : निस्बत। **उसूल** : यानी माँ, बाप, दादा, दादी वग़ैरह। **इस्तिहज़ा** : मज़ाक करना। **असील** : जो अपना मुआमला ख़ुद तय करे। **उन्स्यैन** : ख़ुसिये। **इफ़ाक़ा** : मर्ज़ में कमी। **इख़्तियारे फ़स्ख़** : ख़त्म करने का इख़्तियार। **अस्बाब** : साज़ व सामान। **असरे बद** : बुरा असर। **अक़ल्ल** : सबसे कम। **इर्स** : मीरास। **अंख्यारा** : सहीह नज़र वाला। **अग़निया** : मालदार लोग। **असना–ए–मुद्दत** : दौराने मुद्दत। **एहतियाज** : ज़रूरत। **एच, पेच** : मकर व फ़रेब वाली। **उमरा** : अमीर लोग। **इदराक** : समझ'बूझ। **एअ़राज़** : रूगर्दानी करना। **अन्सब** : ज़्यादा मुनासिब। **अदना दर्जा** : कम दर्जा। **अमलाक व अमवाल** : माल व जायदाद। **इज्तिनाब** : किनारा'कशी, एहतिराज। **अकारत** : ज़ायेअ़। **इस्तिब्दाल** : बाहमी तबादला। **असनाए साल** : दौराने साल। **उमूरे ख़ैर** : भलाई के काम। **इम्तिदादे जुनून** : जुनून का तवील होना। **इम्तियाज़** : फ़र्क़। **इमला** : लिखवाना। **ईफ़ा करना** : पूरा करना। **एहतिकार** : ग़ल्ला रोकना, ज़ख़ीरा अन्दोज़ी करना। **इबरा** : मुआफ़ करना। **अज़'सरे नो** : नये सिरे से। **इमज़ा** : नाफ़िज़ करना। **औसत** : दरम्याना, दरम्यानी। **अन्देशानाक** : ख़तरनाक। **उम्मुल'ख़बाइस** : बुराईयों की जड़। **इत्तिहाम** : तोहमत लगाना। **इन्सिदाद** : रोकथाम। **अतवार** : आदतें। **इक्तिफ़ा** : किफ़ायत, कनाअत। **इन्क़िताअ़** : मुन्क़तेअ़ होना। **इन्तिफ़ा** : नफ़ा हासिल करना। **असासा** : माल व असबाब।

असह : ज़्यादा सहीह। **असनाफ़** : अक़साम। **इश्तिबाह** : शक व शुबह। **अबरा** : दोहरे कपड़े की ऊपर वाली तह। **उमम साबिक़ा** : गुज़श्ता उम्मतें, पहली उम्मतें। **इस्क़ात** : साक़ित करना, बरक़रार न रखना। **इन्तिसाब** : मन्सूब। **इन्जि़बात** : पैवरस्तगी। **इस्तेहक़ाक़** : किसी का हक़ साबित होना। **इस़ालतन** : ब'ज़ाते खुद। **इन्तिक़ाले दैन** : दैन (क़र्ज़) की मुन्तक़ली। **इज्तिमाअ्** : इकट्ठा होना। **एहतियात का मुक़तज़ी** : एहतियात का तक़ाज़ा। **अटकल पच्चू** : ऊट पटांग। **अहले शहादत** : जो गवाही देने के क़ाबिल हो। **अमीन** : जिसके पास अमानत रखी जाये। **इतलाफ़े माल** : माल का ज़ाएअ् करना। **अम्लाके मुरसला** : वह जायदाद जिसमें मिल्कियत का दावा किया जाये और मिल्कियत का सबब बयान न किया जाये। **अरबाबे हाजत** : जरूरत मन्द लोग। **अहदुज़्ज़ौजैन** : मियाँ बीवी में से एक। **अशरफ़ी** : सोने का सिक्का। **इख़्तियारे ताम्म** : मुकम्मल इख़्तियार। **अजीर** : उजरत पर काम करने वाला। **इन्बिसात** : खुशी। **अक़रिबा** : अक़ारिब क़रीबी रिश्तेदार। **इज़्न** : इजाज़त। **अहबाब** : दोस्त। **एहतिराज़** : बचना। **उख़रवी** : आख़िरत से मुतअल्लिक़। **अम्र** : बात, हुक्म, मुआमला। **औलिया** : शरई या कानूनी सर'परस्त। **इश्तिग़ाल** : मशगूल होना। **इजाबत** : क़बूल करना। **एहतिमाल** : शक। **इज़ाफ़त** : निस्बत। **इस्तीफ़ा** : पूरा करना। **इन्सिदाद** : रोकथाम। **इख़्तियारे** : फ़स्ख़ किसी मुआमले को खत्म करने का इख़्तियार। **इलहाह** : मिन्नत समाजत करना। **इस्तेअ्दाद** : क़ाबिलियत। **इफ़रात व तफ़रीत** : कमी, बेशी, गैर मोअतदिल हालात। **अफ़लास** : तंग'दस्ती। **इज़ाला** : जाइल करना, दूर करना, मिटाना। **अअ्रज** : लंगड़ा। **अअ्मश** : कमज़ोर निगाह वाला। **अहवल** : भेंगा, टेढ़ी आँख वाला। **उलफ़त** : मोहब्बत। **इबहाम** : पोशीदा। **इन्हिदाम** : गिराना, मिस्मार करना। **अन्देशा** : गुमान। **ईसा** : वसियत करना। **अक़रब** : क़रीबी रिश्तेदार। **इर्तिदाद** : मुर्तद होना। **इस्तिक़रा** : तलाश, जुस्तजू, गौर व फ़िक्र। **उचक्का** : उचक लेने वाला, चोर। **उधेड़ना** : खोलना। **इख़्तिराअ्** : मनघड़त। **औराम** : वरम की जमा, सूजन। **अअ्मा** : अन्धा। **इकराम** : इज़्ज़त व एहतिराम। **अआ़जिम** : अजमी लोग, गैर अरबी लोग। **इस्तिग़ासा** : फ़रयाद। **अखाड़ा** : कुश्ती का मैदान। **अबअ्द** : ज़्यादा दूर। **अनगिन्त** : बेशुमार। **अकहरी** : यकतरफ़ा।

(आ ا) से शुरूअ् होने वाले शब्द

आँख के कोये : नाक की तरफ़ आँख का कोना। **आड़ा** : तिर्छा। **आयाते दुआईया व सनाईया** : वह आयत जिनमें दुआओं और अल्लाह तआला की हम्द व सना का ज़िक्र है। **आबरू** : इज़्ज़त। **आमेज़िश** : मिलावट। **आतिशज़दगी** : आग लगने। **आसाइश** : आराम, सुकून। **आफ़ताब ढलकने** : ज़वाल पज़ीर होना। **आहट** : पाँव की आवाज़। **आलाते हर्ब** : लड़ाई के हथयार। **आफ़ताबा** : दस्ता लगा हुआ लोटा। **आलूदा** : नापाक, नजिस, लुथड़ा हुआ। **आंचल** : दोपट्टे का पल्लू। **आज़ाद कुनिन्दा** : आज़ाद करने वाला। **आमद व रफ़्त** : आना जाना। **आफ़ते समावी** : क़ुदरती आफ़त। **आंचल** : दोपट्टे का सिरा, दामन का किनारा। **आढ़त** : एजेन्सी वह जगह जहाँ सौदागरों का माल कमीशन लेकर बेचा जाता है। **आमादा ब'फ़साद** : लड़ाई झगड़े पर तैयार होना। **आतिशकदा** : मजूसियों का इबादतख़ाना। **आढ़ती** : कमीशन लेकर माल बेचने वाला। **आड़** : रुकावट। **आलाम मसाइब** : तकालीफ़। **आफ़त** : मुसीबत। **आलाम** : अलम की जमा रन्ज व ग़म। **आफ़ताब** : सूरज। **आमेज़िश** : मिलावट। **आब'पाशी** : ज़मीन को पानी देना। **आबरू** : इस्मत, इज़्ज़त। **आसारे रुजूलियत** : मर्द होने की निशानियाँ। **आसूदा** : जिसकी भूक मिटचुकी हो।

('ब' ب)से शुरूअ् होने वाले शब्द

बालाई : ऊपरी। **बेहिस** : जिसको किसी का एहसास न हो, जो हरकत न करसके। **ब'दर्जहा** : बहुत ज़्यादा कई दर्जे। **बाज़ पुर्स** : पूछगछ। **बच्ची** : वह बाल जो ठोढ़ी और होन्ट के बीच में होते हैं। **बेबाक** : बेख़ौफ़, बेहया। **बालाख़ाना** : ऊपर वाला हिस्सा। **बे'गुबार व बुख़ार** : बुख़ारात और गर्द के बिग़ैर। **बराहे जहल** : ना'वाक़िफ़ी, जिहालत की बिना पर। **बन्दिश** : गिरह। **भड़का** : मुश्तइल होना। **ब'गोशे** : दिल तवज्जोह से। **बिदका** : डरकर चौंकना। **बाक़ला** : लोबिया। **भोंक देना** : घोंपना। **बिऐनिही** : इसी तरह। **बिस्तम** : बीस। **बुरहान** : दलील। **ब'नज़रे'हिक़ारत** : तौहीन की नज़र से। **बेआबरूई** : बेइज़्ज़ती। **बराहे इख़्तिसार** : मुख़्तसर करने के लिये। **बरीउज़्ज़िम्मा** : ज़िम्मेदारी से बरी। **बेरीश** : दाढ़ी के बिग़ैर। **बत्** : बतख़। **ब'मुजिब** : मुताबिक़। **बिला तअम्मुल** : बे'सोचे समझे। **बराअ्त** : निजात, छुटकारा। **बार** : बोझ। **बस्ता** : जमा हुआ। **बदले किताबत** : वह माल जिसके बदले मुकातब गुलाम को आज़ादी मिले। **भाल** : बरछी का फल। **बैरून** : बाहर। **बटा** : बल दिया, लपेटा। **बद्दू** : अरब के ख़ाना ब'दोश लोग। **बादयान** : सौंफ़। **बे'दस्त व पा** : हाथ पाँव के बिग़ैर। **ब'ख़ौफ़े ततवील** : तवालत के ख़ौफ़ से। **बुलाक़** : एक जेवर जो कि नाक में पहनते हैं। **बम** : घोड़ा गाड़ी का बांस जिसमें घोड़ा जोता जाता है। **बदले खुला** : वह माल जिसके बदले में निकाह ज़ाइल किया जाये। **बित्तख़्सीस** : खुसूसियत के साथ। **बिला तकल्लुफ़** : बे रोक टोक। **बशाशत** : खुशी। **बजरा** : एक किस्म की गोल और खूबसूरत कश्ती। **बिल'अक्स** : ख़िलाफ़। **ब'उज़्र** : उज़्र के साथ। **बैअ् व शिरा** : ख़रीद व फ़रोख़्त। **ब'दिक़्क़त** : मुश्किल से। **बुकची** : कपड़ों की छोटी गठरी। **बिलकुल सिम्ते रास** : बिलकुल सर के ऊपर। **बहली का खटोला** : बैलों की छोटी गाड़ी। **तम्लीक** : मालिक बनादेना। **बौल व बराज़** : पेशाब व पाख़ाना। **बहाइम** : चौपाय। **बि'फ़ज़लिही तआला** : अल्लाह तआला के फ़ज़्ल से। **बुन्दकियां** : छींटे। **बुका** : रोना। **बिला'सौत** : बिग़ैर आवाज़। **बेश क़ीमत** : ज़्यादा क़ीमत। **बय्यन** : वाज़ेह, साफ़। **बेख़ कनी करना** : यानी जड़ काटना। **बुलूग़** : बालिग़ होना। **बद ख़ुल्क़ी** : बद अख़लाक़ी। **बाइसे** नंग व

आर : बे इज़्ज़ती व रुसवाई का सबब। **बयक अक़्द** : एक ही अक़्द के साथ। **ब'दरजहा** : कई गुना, बहुत ज़्यादा। **बादे इत्क़** : आज़ादी के बाद। **ब'नज़रे एहतियात** : एहतियात का लिहाज़ करते हुए। **बुत परस्त** : बुतों की पूजा करने वाला। **बदून** : बिग़ैर। **ब'लफ़्ज़े शहादत** : गवाही के लफ़्ज़ के साथ। **बन** : जंगल। **बिला हाइल** : बिग़ैर आड़ के। **बुग्ज़** : नफ़रत, दुशमनी। **बन्दिश** : बन्धन, गिरह। **बिला क़स्द** : इरादे के बिग़ैर। **बाग** : लगाम। **ब'तीबे ख़ातिर** : खुश दिली से। **ब'मन्ज़िलए ग़स्ब** : ग़स्ब के क़ाइम मक़ाम। **बद मस्त** : नशे में धुत। **बुकारत** : कुंवारापन। **बर बिनाए एहतियात** : एहतियाती तौर पर। **बद खुल्क़** : बुरे अख़लाक़ वाला। **बलाए जान** : जान के लिये मुसीबत। **बुटना लगाना** : उब्टन लगाना। **बेशतर** : ज़्यादा। **ब'क़दरे किफ़ायत** : जितनी मिक़दार काफ़ी हो। **बद बातिनी** : दिल की बुराई। **बिल'क़स्द** : इरादतन। **बशारत** : खुशख़बरी। **बलादे इस्लामिया** : इस्लामी ममालिक। **बरीउज़्ज़िम्मा** : सुबुकदोश। **बहुतेरे** : बहुत से। **बुशरह** : चेहरा। **बाज़ पुर्स** : पूछ गछ। **बि'ऐनिही** : बिलकुल उसी तरह। **बदूने दावा** : दावा के बिग़ैर। **बिला मीआद** : मुद्दत के बिग़ैर। **बय्यिना** : गवाह। **बराअत** : निजात, छुटकारा। **बान्दी** : लौन्डी। **ब'मुक़तज़ाए कफ़ालत** : किफ़ालत के तक़ाज़े के मुताबिक़। **ब'मन्ज़िलाए बैअ़** : ख़रीद व फ़रोख़्त के क़ाइम मक़ाम। **बि'शर्तिल'एवज़** : बदले की शर्त के साथ। **बद असरात** : बुरे असरात। **बे वक़अ़ती** : बे क़दरी। **बेबाक** : अदा करदेना। **भेस** : रूप। **बावला** : पागल। **बाइअ़** : फ़रोख़्त करने वाला। **बैते मुअय्यन** : मख़्सूस कमरा। **बदीही बात** : वाज़ेह बात। **बाइसे निज़ाअ़** : झगड़े का सबब। **बेजा** : ना'मुनासिब। **बे महल** : बे मौक़ा। **बखूर करना** : धूनी लेना। **बिला तक़दीम व ताख़ीर** : आगे पीछे किये बिग़ैर।

('प' پ से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

पैहम : लगातार। **पछताना** : अफ़सोस करना। **पय दर पय** : लगातार। **पायेंती** : क़दमों की जानिब। **पासदारी** : लिहाज़, मुरव्वत। **पैरूए शैतान** : शैतान के पैरूकार। **पायताबा** : जुर्राब। **पाल्ती मारना** : चारज़ानू बैठना। **परागन्दा** : परेशान। **पसे पुश्त** : पीछे। **परगना** : ज़िला का हिस्सा। **पालेज़** : खेत। **पहुँचियां** : एक ज़ेवर जो कलाई में पहना जाता है। **पली** : तेल या घी निकालने का आला। **फुरैरी** : रुई का टुकड़ा। **प्यादा** : पैदल। **प्याल** : चावल का भुस। **पपोटों** : जिस्म का वह हिस्सा जो आँख से मिला होता है। **पयर** : अनाज साफ़ करने की जगह। **पुरसाने हाल** : हाल पूछने वाला, मददगार। **पुश्ते दस्त** : हाथ की उल्टी तरफ़। **पेशतर** : पहले। **पै'दरपै** : लगातार। **पहलूतिही** : किनाराकशी। **पोस्तीन** : खाल का कोट। **पालकी** : डोली। **पुजारी** : मन्दिर वग़ैरह का पुजारी। **पालेज़** : ख़रबूज़ा, तरबूज़ वग़ैरह का खेत। **पौन्ड** : सोलाह औन्स, आधा किलो कुछ कम वज़न। **पुट्ठे** : जानवर की दुम के ऊपर वाला हिस्सा। **पोत** : सूराख़ वाला शीशे का छोटा दाना जो मोती की तरह होता है। **पारसा** : मुत्तक़ी, परहेज़गार। **पन्च** : हकम, फ़ैसला करने वाला। **परत** : काग़ज़। **परस्तिश** : इबादत करना। **पेड़** : दरख़्त। **परदेस** : दूसरा मुल्क। **पत्तर** : धात की चादर। **पघा** : वह लम्बी रस्सी जो गले से जुदा होने या भटक जाने वाले जानवर के पिछले पाँव में बान्धकर चरने को छोड़ा जाता है। **परनाला** : बालाख़ाने या छत की नाली। **पन्सारी** : देसी दवाईयां, जड़ी'बूटी बेचने वाला। **पेशतर** : पहले। **पहलूतही** : किनाराकशी। **पछीत** : मकान की पिछली दीवार। **पेड़** : दरख़्त। **पारसाई** : पाकदामनी। **पलाऊ** : पाला हुआ। **पछाड़ना** : ज़मीन पर पटखदेना।

('त' ت से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

तकफ़ीर : काफ़िर क़रार देना। **अबद** : जो हमेशा रहे। **तन्ईमे क़ब्र** : क़ब्र की नेमतें। **तज़लील** : गुमराह क़रार देना। **तहनशीन होना** : नीचे बैठ जाना। **ब'तकल्लुफ़** : तकलीफ़ उठाकर कोई काम करना। **तुख़्म** : बीज। **तकियादार** : क़ब्रिस्तान की निगरानी करने वाला। **तन्क़ीस** : घटाना, कम करना। **तौक़ीतदाँ** : इल्मे तौक़ीत का जानने वाला। **तअर्रुज़** : सामने आना, रोकना। **तारिक** : छोड़ने वाला। **तजहीज़ व तकफ़ीन** : मुर्दे के कफ़न दफ़न का इन्तिज़ाम। **तसल्लुत** : ग़ल्बा। **तख़्मीना** : अन्दाज़ा। **तफ़सीक़** : फ़ासिक़ क़रार देना। **तरतील** : हुरूफ़ को ठहर ठहरकर अदा करना। **तहलील** : लाइला'ह इल्लल्लाह पढ़ना। **तज़ल्लुल** : आजिज़ी करना, अपने आप को हक़ीर समझना। **तआरुज़** : दो चीज़ों का आपस में मुख़ालिफ़ होना। **तहते तसर्रुफ़** : इख़्तियार में। **तवंगर** : दौलत, अमीर, मालदार। **तल्फ़** : ज़ाइअ़। **तकान** : थकन। **तुन्दी** : तेज़ी। **तुन्द मिज़ाज** : सख़्त मिज़ाज। **तोशा** : ज़ादे राह। **तिफ़र्क़ा** : फ़र्क़। **तक़लील** : कमी करना। **तफ़ावुत** : फ़र्क़। **तुन्द ख़ू** : सख़्त मिज़ाज। **तर्क** : छोड़ना। **तलफ़्फ़ुज़** : लफ़्ज़ का मुँह से अदा करना। **तहफ़्फ़ुज़** : हिफ़ाज़त। **तवस्सुत** : दरम्याना। **तमव्वुल** : मालदारी, दौलतमन्दी। **तफ़रीक़** : जुदाई। **तम्लीक** : मालिक बनाना। **तसल्लुत** : ग़लबा। **तल्ख़** : बद'मज़ा, कड़वा। **तहालुफ़** : बाहम क़सम खाना। **तसर्रुफ़** : अमल दख़्ल, इस्तेमाल में लाना। **तोशक** : पलंग का बिछौना। **तीन रुबअ़** : चार हिस्सों में से तीन हिस्से। **तशद्दुद** : सख़्ती, ज़्यादती। **तफ़वीज़** : सिपुर्द करना। **तजहीज़ व तकफ़ीन** : मय्यित के कफ़न दफ़न का बन्दोबस्त करना। **तसद्दुक** : सदक़ा देना। **तदारुक** : तलाफ़ी। **तमस्ख़ुर** : मज़ाक़ उड़ाना। **तोशा** : रास्ते का ख़र्च। **तमामियत** : मुकम्मल होना। **तमत्तोअ़** : लुत्फ़ उठाना, फ़ायदा हासिल करना। **तग़ईरे शरअ़** : शरई हुक्म का बदलना। **तअ़मीम** : आम करना। **तल्फ़** : ज़ाइअ़। **तहम्मुल** : बर्दाश्त। **तमादी** : अरसए'दराज़। **तादीब** : अदब सिखाना। **तकज़ीब** : झुटलाना। **तअ़द्दुद** : तअ़दाद में ज़्यादा होना। **तज़य्युन** : बनाव श्रृंगार। **तौकील** : वकील बनाना। **ताबेअ़** : मातहत। **तुर्शरुई** : बद'मिज़ाजी, ग़ज़बनाक होना। **तअर्रुज़** : बेजा मुदाख़लत। **तहक़ीर** : बेहुरमती, बेअदबी, तौहीन। **तज़किंयाए शुहूद** : गवाहों की जांच पड़ताल। **तसादुक़** : एक दूसरे की तस्दीक़ करना। **तफ़ावुत** : फ़र्क़,

इख़्तिलाफ़। **तौलियत** : माले वक़्फ़ की निगरानी करना। **तबर्रोअ़** : एहसान, बख़्शिश। **तनाक़ुज़** : तआरुज़, तज़ाद, इख़्तिलाफ़। **तअ़लीकी वज़ीफ़ा** : ऐसा वज़ीफ़ा जो किसी शर्त पर मोअल्लक़ हो। **तिश्ना** : अधूरा, ना'मुकम्मल। **तर्मीम** : तग़ईर व तब्दीली। **तख़य्युल** : तसव्वुर, क़यास। **तक़र्रुर** : मुक़र्रर करना। **तवंगर** : मालदार, अमीर। **थोड़े दाम** : मामूली क़ीमत। **ततव्वोअ़** : नफ़्ल के तौर पर। **तशहीर** : एअ़लान करना। **तसरीह** : साफ़ और वाज़ेह। **तमल्लुक** : मालिक बनना। **तग़य्युर** : तब्दीली। **ततबीक़** : मुताबक़त। **तहकीम** : किसी को हकम बनाना। **तक़ाज़ा** : मुतालबा। **तराज़ी** : बाहमी रज़ामन्दी। **तअ़द्दी** : ज़्यादती। **तर्दीद** : किसी बात को रद करना। **तबअ़न** : ताबेअ़ होकर। **तसर्रुफ़** : ख़र्च करना। **तसद्दुक़** : सदक़ा देना। **तमामियत** : तमाम होना। **तुज्जार** : ताजिर लोग। **तअ़द्दी** : ज़्यादती, **बेजा** : तसर्रुफ़। **तरद्दुद** : शक व शुबह। **तअ़फ़्फ़ुन** : बदबू। **तक़र्रुब** : नज़्दीकी। **तस्कीन** : इत्मिनान। **तर्कीब** : तदबीर। **तहर्री** : ग़ौर व फ़िक्र। **तग़ाफ़ुल** : बेतवज्जोही। **तमक्कुन** : क़ुदरत, क़ब्ज़ा, मुम्किन होना। **तम्लीक** : मालिक बनाना। **तलफ़** : ज़ाइअ़। **तकज़ीब** : झुटलाना। **तुर्श'रूई** : बद'मिज़ाजी। **तअ़मीम** : आम करना। **तसरीह** : वाज़ेह करना। **तग़य्युर** : तब्दीली। **तिहाई** : तीसरा हिस्सा। **तस्लीम** : सिपुर्द करना। **तग़ईर** : बदल देना। **तक़सीम कुनिन्दगान** : तक़सीम करने वाले। **तकल्लुफ़ात** : नुमायश, ज़ाहिरदारी। **तशब्बोह** : यानी मुशाबहत इख़्तियार करना। **थिरकना** : अअ़ज़ा को हरकत देना। **तादीब** : अदब सिखाना।

('स' ث शब्द से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

सुलुस् : तिहाई, तीसरा हिस्सा। **सुबूते मिल्क** : मिल्कियत का सुबूत। **सिक़ह** : मोअ़तबर, मोअ़तमद। **सालिस्** : फ़ैसला करने वाले। **सानी** : दूसरा। **ठगना** : धोके से कुछ लेलेना। **सिक़ह** : मोअ़तबर। **सिक़्ले समाअ़त** : ऊँचा सुनने का मर्ज़।

('ज' ج शब्द से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

जज़अ़ व फ़ज़अ़ : रोना पीटना। **जान कनी** : मौत के लमहात में सांस उखड़ना। **जहल** : बे'इल्मी। **जिल्क़** : मुश्त'ज़नी। **जुवा** : वह लकड़ी जो गाड़ी या हल के लिये बैलों के कन्धों पर रखी जाती है। **जनाई** : दाई। **जांगुज़ा** : जान घटाने वाला। **जर्रार** : कसीर लश्कर। **जाए'निजासत** : निजासत की जगह। **जुम्बिश** : हरकत। **जौक़ जौक़** : गिरोह के गिरोह। **झिरी** : शिगाफ़। **जदाल** : झगड़ा। **जुमरुक** : कस्टम हाउस। **जहर** : ऊँची आवाज़। **जमरों** : जमरह की जमा मिना में तीन मक़ामात जहाँ कंकरियां मारी जाती हैं। **झूल** : घोड़े के ऊपर डालने का कपड़ा। **जमीअ़ मा'सिवा अल्लाह** : अल्लाह के सिवा कायनात की हर चीज़। **जिला देना** : ज़िन्दा करना। **जद्दी मुनासबत** : आबाई निस्बत। **जुगाली** : हैवानात को अपने चारे को मेअ़दे में से निकालकर मुँह में चबाना। **जिर्मदार** : जिस्म रखने वाला। **जुनुब** : वह आदमी जिसे जिमा या एहतिलाम की वजह से गुस्ल की हाजत हो। **जब्बारीन** : जब्बार की जमा, ज़ालिम'तरीन। **जवारेह** : इन्सान के हाथ पाँव और दीगर अअ़ज़ा। **जमादात** : जमाद की जमा बे'जान चीजें जैसे धात, पत्थर वग़ैरह। **जुम्लतन** : यकबारगी। **जमघटा** : हुजूम, भीड़। **जमाल** : ख़ूबसूरती। **जारिया** : लौन्डी, कनीज़। **जायदादे मन्कूला** : वह चीज़ें जिनको दूसरी जगह मुन्तक़िल किया जासकता हो मसलन सामान वग़ैरह। **जबरन** : ज़बर'दस्ती, मजबूर करके। **जुस्सा** : जसामत, जिस्म। **जहल** : ला'इल्मी। **जायदादे ग़ैर मन्कूला** : वह जायदाद जिसको दूसरी जगह मुन्तक़िल न किया जासकता हो मसलन ज़मीन, मकान वग़ैरह। **जारूबकश** : झाड़ू लगाने वाला। **जहत** : सिम्त, तरफ़, सबब। **जूदत** : ख़ूबी उम्दगी। **जवार** : पड़ोस। **जुम्ला मसारिफ़** : तमाम अख़राजात। **जन्जाल** : मुसीबत। **जायदादे मौक़ूफ़ा** : वक़्फ़ की गई जायदाद। **जहालत** : बेइल्मी। **जिन्स** : क़िस्म। **जारे** : पड़ोसी। **जब्र** : ज़बर'दस्ती। **जारेह** : ज़ख़्मी। **जुस्तजू** : तलाश। **झिल्ली** : बारीक खाल। **जायदादे मबीआ** : बेची हुई जायदाद। **जसारत** : जुरअत। **जोतना** : हल चलाना। **जुज़्दान** : वह बस्ता जिसमें क़ुर्आन मजीद रखते हैं। **जिन्से अर्द** : ज़मीन की क़िस्म। **जमीअ़** : तमाम। **जाए इमामत** : इमामत की जगह। **जस्त** : छलांग लगाना। **जुज़्दान** : ग़िलाफ़।

('च' چ से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

चोली : ग़िलाफ़। **चाह** : कुआँ। **चुपका** : ख़ामोश। **चन्चल** : शोख़। **छुटाना** : छुड़ाना। **चर्से** : चमड़े का बड़ा डोल। **चुग़ा** : जुब्बा। **चित** : पीठ के बल लेटना। **छिदरे** : फ़ासिले, फ़ासिले से। **चाबुक** : कोड़ा। **चुंगी** : एक तरह का टैक्स। **चुन्धा** : कमज़ोर बीनाई वाला। **चर्सा** : चमड़े का डोल। **चुनाई** : ईंट या पत्थर से दीवार उठाना। **छीज** : कमी। **चालबाज़** : धोकेबाज़। **चलन** : राइज। **छाती** : पिस्तान। **चुग़ा** : जुब्बा, खाल का कोट। **चान्द मारी** : निशाने बाज़ी। **छल्ला** : एक क़िस्म की अंगूठी। **चन्दला** : गन्जा।

('ह' ح से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

हादिस् : अदम से वुजूद में आना। **हुदूस्** : वुजूद में आना। **हसना** : नेकी। **हरकात व सकनात** : आदत व अतवार। **हिफ़्ज़े इलाही** अल्लाह तआ़ला की अमान। **हई** : ज़िन्दा। **हिकमते बालिग़ा** : कामिल हिकमत। **हसनात** : नेकियां। **हिकम** : हिकमतें। **हसबे मरातिब** : मरतबे के मुताबिक़। **हिल्लत** : हलाल होना। **हत्तल'वुसअ़** : जहाँ तक होसके। **हिजाब** : पर्दा। **हाइल** : रोक, आड़। **हल्क़** : सर मुन्डाना। **हज्जे मबरूर** : मक़बूल हज। **हामियान** : हामी की जमा, हिमायती। **हक्क़ुल'अ़ब्द** : बन्दे का हक़। **हत्तल'इम्कान** : जहाँ तक मुम्किन हो। **हाजते ज़ाहिरा** : ज़ाहिरी हाजत। **हश्फ़ा** : आलए'तनासुल की सुपारी। **हुर्मते नमाज़** : कोई ऐसा काम न किया हो जो नमाज़ के ख़िलाफ़ हो। **हरबी** दारुल'हर्ब में

रहने वाला। हक़्क़ानियत : सच्चाई। हक़गोई : सच बोलना। हरज : तन्गी, सख़्ती। हाइज़ : हैज़ वाली औरत। हज़र : हालते इक़ामत। हादसए'अज़ीमा : बड़ी आफ़त, बड़ा सानिहा। हमाइल : गले में डालने की चीज़ छोटे साइज़ का कुर्आन जिसे गले में लटकाते हैं। हदसे अमद : जानबूझकर बे'वुज़ू होना। हत्तल'मक़दूर : जहाँ तक होसके। हज़ीं : ग़मगीन। हदस् : बे'वुज़ू होना। हाज़िक़ : अपने फ़न में माहिर, तजर्बेकार। हुक़्ना : किसी दवा की बत्ती या पिचकारी पीछे के मक़ाम में चढ़ाना जिससे इजाबत होजाये। हुरमत : इज़्ज़त, अज़मत। हिर्फ़ा : पेशा, हुनर। हसब : ख़ान्दानी मक़ाम व मर्तबा। हुर्मते निकाह : निकाह का हराम होना। हल्क़ : गला। हुर्रा : आज़ाद औरत जो लौन्डी न हो। हद्दे ख़मर : शराब पीने की शरई सज़ा। हम्माम : गुस्लख़ाना, नहाने की जगह। हम्माल : बोझ लादने वाला। हुर्रियत : आज़ादी। हाइल : रुकावट। हल्फ़ : क़सम। हक़'तल्फ़ी : किसी का हक़ मार लेना। हानिस् : क़सम तोड़ने वाला। हुर्मते रिदाअ् : दूध के रिश्ते की वजह से निकाह का हराम होना। हक़्क़ुल'अब्द : बन्दे का हक़। हिफ़्ज़ : हिफ़ाज़त। हिरासत : क़ैद, गिरफ़्तारी। हिजाब : पर्दा। हुक़्ना किसी दवा की बत्ती या पिचकारी जो रफ़ए क़ब्ज़ या किसी और इलाज के लिये पीछे के मक़ाम में दीजाये। हब्स : क़ैद, गिरफ़्तारी। हुर्र : आज़ाद। हुरमत : हराम होना। हब्से मदीद : लम्बी मुद्दत की क़ैद। हमूला : बोझ। हक़्क़े जवार : हमसायगी का हक़। हिल्म : बुर्दबारी। हल्क़ : गला, मून्डना। हुर्र : आज़ाद। हिफ़्ज़ : हिफ़ाज़त। हक़्क़े फ़स्ख़ : मन्सूख़ करना। हिल्लत : हलाल होना। हुसाम : तेज़ तलवार। हक़्क़े क़राबत : रिश्तेदारी का हक़। हालिक़ : बाल मून्डने वाला। हिरमान : महरूमी।

('ख़' خ से शुरूअ् होने वाले शब्द)

ख़फ़ीफ़ : हल्का। ख़स्फ़ : ज़मीन में धंसना। ख़ुराफ़ात : बे'हूदा बातें। ख़ासिर : नुक़सान उठाने वाला। ख़ुसूफ़ : चाँद गिरहन। ख़ल्क़ : मख़लूक़। ख़ुल्लत : बे'पनाह मोहब्बत। ख़ैरुन्नास : लोगों में से अच्छा। ख़ातिर मलहूज़ : लिहाज़ करते हुए। ख़तरा : डर, ख़ौफ़। ख़ुश'ख़्वान : अच्छी आवाज़ से पढ़ने वाला। ख़ाम : कच्ची। ख़ुर्मा : खजूर, छुआरा। ख़लाइक़ : ख़लीक़ा की जमा मख़्लूक़। ख़ुदरो : अपने आप उगा हुआ। ख़ौफ़ और रवा रवी : ख़ौफ़ व घबराहट। ख़ुन्सा : हिजड़ा। ख़िलक़त : पैदायशी हैयत। ख़ुसूमत : झगड़ा। ख़ुद्दाम : ख़ादिम की जमा ख़िदमत करने वाला। ख़ुशख़ुल्क़ : अच्छे अख़लाक़। ख़तर : ख़ौफ़, ख़तरा। ख़ुनकी : ठन्डक। ख़ुराफ़त : बेहूदा गुफ़्तगू। ख़ुशख़ुल्क़ : अच्छे अख़लाक़। ख़सारा : नुक़सान। ख़ुरूज : बाहर निकलना। ख़िल्क़तन : पैदायशी तौर पर। ख़ुम : शराब का मटका। ख़िरमन : ग़ल्ले का ढेर जिस से भुस अलग न किया गया हो। ख़्यानत : अमानत में ना'जाइज़ तसर्रुफ़। ख़ाज़िन : ख़ज़ान्ची। ख़्यालाते फ़ासिदा : बुरे ख़्यालात। ख़्यार : इख़्तियार। ख़फ़ीफ़ : हल्का। ख़फ़ीफ़ुल'अक़्ल : कम अक़्ल। ख़सम : मद्दे मक़ाबिल। ख़सीस : बख़ील, हक़ीर। ख़ुसूमत : झगड़ा। ख़ाइब व ख़ासिर : महरूम व नुक़सान उठाने वाला। ख़्यार : इख़्तियार। ख़ुरूज : बाहर निकलना। ख़्यानत : अमानत में नाजाइज़ तसर्रुफ़। ख़ल्त करना : मिक्स करदेना। ख़रीफ़ : मौसमे ख़िज़ां। ख़ारिश्ती : जिसे ख़ारिश की बीमारी हो। ख़ुदसिताई : अपनी तारीफ़ आप करना। ख़िल्क़ा : पैदायशी तौर पर। ख़सारा : नुक़सान। ख़ुफ़्या : छुपाकर। ख़ुसूमत : झगड़ा। ख़ाइब व ख़ासिर : महरूम, और नुक़सान उठाने वाला। ख़ुदरौ : क़ुदरती उगने वाला। ख़लूक़ : एक ख़ुशबू जो अम्बर, मुश्क, काफ़ूर की मिलावट से बनती है। ख़ारिशी : जिसे ख़ारिश की बीमारी हो। ख़िलक़त : बनावट, पैदायश।

('द' د से शुरूअ् होने वाले शब्द)

दस्त'बस्ता : हाथ बान्धे। दुश्नाम : गाली। दमवी : जिसमें बहता हुआ ख़ून हो। दल'दार : जिसका जिस्म हो। दल : जसामत। दबीज़ : मोटा। दाई : बुलाने वाला। दहशतनाक : भयानक। दक्खिन : जुनूब की सिम्त। दस्तगाह : महारत। दीवान : अश्आर और इल्मे उरूज़ की किताबें। दुहाई : किसी को पुकारकर मदद के लिये बुलाना। दग़ा : धोका। दफ़अ् : दूर करना। दो'चन्द : दुगना। दहन : मुँह। दरपेश : सामने। दालान : बरआमदा। दानिस्ता : जानबूझकर। दायें चलाना : अनाज गाहना। दर्दआगीं : दर्द से भरा हुआ। दहक़ानी : देहाती, इससे मुराद देहात का रहने वाला नहीं बल्कि जाहिल मुराद है चाहें वह शहरी ही क्यों न हो। दफ़ीना : दफ़्न किया हुआ माल। दुनिया व माफ़ीहा : दुनिया और जो कुछ इसमें है। दैन : क़र्ज़। दुनिया : गुज़श्ती दुनिया ख़त्म होने वाली। दस्ती : हाथ के ज़रीए। धान : चावल। दरकिनार : एक तरफ़। दो चित्तियां : दो काले नुक़्ते। दानिस्ता : जानबूझकर। दाम : रूपये, पैसे। दिक़्क़त : दुश्वारी। दालान : बरआमदा। धन : माल व दौलत। दर्दे ज़ेह : बच्चा पैदा होने का दर्द। दिल'बस्तगी : दिल लगना। दारुल'क़ज़ा : अदालत। दिलैर : बेख़ौफ़। दैने मीआदी : वह दैन जिसकी अदायगी का वक़्त मुअय्यन हो। धत : बुरी आदत। दरबान : मुहाफ़िज़, चौकीदार। दिनाअत : कमीनगी। दस्त ब'दस्त : हाथों हाथ यानी नक़द। दीनदार : नेक आदमी। दियानात : दीनी मुआमलात। दस्तावेज़ : किसी मुआम्ले का तहरीरी सुबूत। दस्त'बरीदा : हाथ कटा हुआ। दावए सर्क़ा : चोरी का दावा। दीनी हमिय्यत : दीनी जोश व जज़्बा, दीनी ग़ैरत। दफ़अ़तन : अचानक। दलाल : कमीशन लेकर माल बेचने वाला। दरकार : ज़रूरी, मतलूब। दस्त'गर्दां : ऐसा क़र्ज़ जो कम मुद्दत के लिये दिया जाये। दैनदार : मक़रूज़। धमक : किसी भारी चीज़ के गिरने की आवाज़। दुख़ूल : हम्बिस्तरी, मुजामअत। दो सुलुस् : दो तिहाई तीन हिस्सों में से दो हिस्से। दस्तावेज़ : किसी मुआमले का तहरीरी सुबूत। दोचन्द : दोगुना। दिनाअत : कमीना'पन। दवावीन : दीवान की जमा। देनदार : मक़रूज़। दिक़्क़त दुश्वारी। दअ़वाते मासूरा : क़ुर्आन व हदीस् से मन्क़ूल दुआयें। दमसाज़ : राज़दार।

('ड' ڈ से शुरूअ् होने वाले शब्द)

डोरा : धागा। **ढकेल** : धक्का देना। **ढेला** : मिट्टी का बड़ा टुकड़ा। **ढाल** : पस्ती।

('ज़' ذ से शुरूअ् होने वाले शब्द)

ज़ाकिरीन : ज़िक्र करने वाले। **ज़ुर्रियत** : औलाद, नस्ल। **ज़ी'अक़्ल** : अक़्लमन्द। **ज़ी'वजाहत** : मोहतरम। **ज़ी वजाहत** : साहिबे मर्तबा, मोअ़ज़्ज़। **ज़िल'यद** : क़ाबिज़ क़ब्ज़े वाला। **ज़ीइज़्ज़त** : मोअ़ज़्ज़ज़, मोहतरम। **ज़कर** : आलए तनासुल। **ज़ौक़े इल्मी** : इल्म हासिल करने का शौक़। **ज़िल'यद** : क़ाबिज़। **ज़ाबेह** : ज़िबह करने वाला। **ज़हाबे बसर** : नज़र का ख़त्म होजाना।

('र' ر से शुरूअ् होने वाले शब्द)

रफ़ीअ़ : बुलन्द, बड़ी शान वाला। **राहिन** : गिरवी रखने वाला। **रतबुल्लिसान** : बहुत तारीफ़ करने वाला। **रक़ीक़** : पतला। **रुसुल** : रसूल की जमा। **रास्तबाज़** : ईमानदार, दयानतदार। **रतूबत** : तरी, नमी। **रीह** : गैस। **राजेह** : बेहतर, ग़ालिब। **रैंखें** : मन्जन या पानों के रंग के निशान जो दाँतों में पड़जाते हैं। **रफ़ू** : फटी हुई जगह को भरना। **रवादारी** : भागदौड़ रोशनाई लिखने की स्याही। **रौन्दना** : कुचलना। **रिया** : दिखलावा। **रिफ़्स्** : फ़हश कलाम। **रियासत** : सरदारी। **रू'बक़िब्ला** : क़िब्ले की जानिब। **रोग़न** : पालिश। **रोज़े** : मीसाक़ वह वक़्त जब अल्लाह तआ़ला ने तमाम नबियों से हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पर ईमान लाने और और हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम की नुसरत का पुख़्ता अ़हद लिया। **रबीबा** : परवरिश में ली हुई लड़की, सौतेली माँ। **रज़ील** : घटिया, कमीना। **रुजहान** : मैलान, तवज्जोह। **राहज़नी** : डकैती। **रवादारी** : यकसां बरताव रखना। **रहन** : गिरवी। **रियाज़त** : नफ़्स'कुशी। **राहिब** : ईसाई आ़बिद, पादरी। **रिम** : काग़ज़ के बीस दस्तों का बन्डल। **रू'बरू** : आमने सामने। **रोज़नामचा** : रोज़ाना के हिसाब लिखने का रजिस्टर। **राहिन** : गिरवी रखने वाला। **रक़ीक़** : गुलाम। **रिब्वी** : सूदी। **रुश्द** : होशमन्दी। **राइज** : लागू। **राइगां** : ज़ाइअ्। **रबीअ्** : मौसमे बहार। **रिया** : दिखावा। **रूहुल'क़ुदस** : जिब्रील अमीन अ़लैहिस्सलाम। **रुफ़क़ा** : रफ़ीक़ की जमा, दोस्त।

('ज़' ز से शुरूअ् होने वाले शब्द)

ज़च्चा'ख़ाना : वह मक़ाम जहाँ बच्चा पैदा होता है। **ज़ाइर** : ज़्यारत करने वाला। **ज़ारी** : रोना, पीटना। **ज़ल्लत** : लग़ज़िश। **ज़ज्र** : डाट'डपट। **ज़्यादते क़लीला** : थोड़ी ज़्यादती। **ज़ेरे नाफ़** : नाफ़ के नीचे। **ज़मीने मग़सूब** : ऐसी ज़मीन जिसपर ज़ब्र'दस्ती क़ब्ज़ा किया गया हो। **ज़ुव्वार** : ज़्यारत करने वाले। **ज़्यादत** : इज़ाफ़ा। **ज़द व कोब** : मारपीट। **ज़री** : सोने के तार। **ज़न व शौहर** : मियाँ बीवी। **ज़वाले मिल्क** : मिल्कियत का ख़त्म होजाना। **ज़ौज** : ख़ाविन्द। **ज़ौजैन** : मियाँ बीवी। **ज़्यादती** : इज़ाफ़ा। **ज़ीना** : सीढ़ी। **ज़ीनत** : बनाव सिंगार। **ज़ाइल होना** : ख़त्म होना। **ज़वाले मिल्क** : मिल्कियत का ख़त्म होना। **ज़द व कोब** : मारपीट। **ज़ाइर** : ज़्यारत करने वाला। **ज़ख़्म ख़ुर्दा** : ज़ख़्मी।

('स' س से शुरूअ् होने वाले शब्द)

सिज्जीन : जहन्नुम में एक वादी का नाम। **सहव** : भूलना। **सरबुरीदा** : सर कटा हुआ। **सुकूत** : ख़ामोशी। **सकत** : ताक़त। **सील** : नर्मी। **सकता** : लम्हाभर के लिये ख़ामोश होना। **साक़ित** : मुआफ़। **साई** : कोशिश करने वाला। **सइयेआत** : सइयेआ की जमा है, बुराईयां। **सुन्नते बादिया** : वह सुन्नतें जो फ़र्ज़ के बाद पढ़ी जाती हैं। **सालिम** : पूरा, तमाम। **सुतरा** : आड़। **सन्गिस्तान** : पथरीली ज़मीन। **साबिक़** : पहला, सब्क़त लेजाने वाला। **सब्ब व शितम** : गालियां। **सैलान** : किसी पतली चीज़ या पानी का जारी होना। **सरोकार** : वास्ता, तअ़ल्लुक़। **सराब** : रेतीली ज़मीन की वह चमक जिसपर चाँद, सूरज की चमक से पानी का धोका होता है। **संगदिली** : सख़्त दिली। **सीवन** : सिलाई। **सराय** :मुसाफ़िरों के ठहरने का मकान। **सैल** : पानी का बहाव। **सिआ़यत** : कोशिश, मेहनत। **सपेद दाग़** : बर्स की बीमारी। **सुनने रवातिब** : सुन्नते मोअक्कदा। **साहिर** : जादूगर। **सुकूनत** : रिहायश। **सिक़ाया** : पानी की सबील। **साइलीन** : साइल की जमा सवाल करने वाले। **सिन्न** : उम्र। **सेन्ठा** : सरकन्डा। **सेहबारा** : तीसरी बार। **समझवाल** : समझदार। **सुआ** : मोटी सुई। **सहल** : आसान। **सिपर** : ढाल। **सिम्तुर्रास** : सर से आसमान तक का सीधा ख़त, बुलन्दी का निशान। **सियर** : सीरत की जमा, आदतें। **सालहाए** : गुज़श्ता गुज़रे हुए साल। **सख़्त'ख़ू** : सख़्त मिज़ाज। **सपेद** : दाग़ बर्स की बीमारी। **सलीक़ा** : सलाहियत, अन्दाज़। **सबबे'हुरमत** : हराम होने का सबब। **सिन्न** : उम्र। **सन्झली** : तीसरे नम्बर वाली। **सहवन** : भूलकर। **सरायत** : जज़्ब होना। **सब्ब व शितम करना** : लअ़्न तअ़्न करना, बुरा भला कहना। **सौत** : एक ख़ाविन्द की दो या दो से ज़्यादा बीवियां सौत कहलाती हैं। **सिन्न'रसीदा** : बूढ़ा। **साकित** : ख़ामोश। **सफ़ीहा** : बेवक़ूफ़, अहमक़, नादान। **सुकना** : रहने का मकान। **सुकूनत** : रिहायश। **सन्** : साल। **सिफ़्ला** : कमीना, ना'अहल। **सिहाम** : हिस्से। **सक़ाया** : पानी भरकर लाने और पिलाने का काम। **सरेदस्त** : फ़िलहाल। **समई** : शहादत। **सामाने ख़ानादारी** : घरेलू सामान। **सत्तू** : भुने हुए अनाज का आटा। **सबील** : राहगीरों के लिये मुफ़्त पानी पीने का एहतिमाम। **समाहत** : हुस्ने सुलूक। **सलोत्तरी** : घोड़ों का डाक्टर। **सरायत** : जज़्ब करना। **सुकूनत** : रिहायश। **सफ़ीह** : बेवक़ूफ़। **साबिक़** : आगे बढ़ने वाला। **सोख़्तनी** : जलाने के क़ाबिल। **सज़ावार** : मुनासिब। **सद्दे ज़राइअ्** : ऐसी बातों को रोकना जिनके ज़रिए बुराई का ख़तरा हो। **सहल** : आसान।

('श' ش से शुरूअ् होने वाले शब्द)

शरक़ी : मश्रिक़ी। **शफ़ीओं** : शफ़ाअत करने वाले। **शानों** : कन्धे। **शनाख़्त** : पहचान। **शीर'ख़्वारगी** : वह उम्र जिसमें बच्चा दूध पीता है। **शर्रुन्नास** : लोगों में से बुरा। **शफ़ीअ़** : शफ़ाअत करने वाला। **शयातीन** : शरीर लोग। **शाक़** : भारी। **पेशगोई** : किसी बात की पहले ख़बर देना। **शिकम** : पेट। **शोअ़लाज़न** : शोला निकालने वाला। **शबे असरा** : मेअ़राज की रात। **शरीर** : बुरा। **शरारे** : चिंगारियां। **शामते नफ़्स** : नफ़्स की आफ़त। **शआइरे'इस्लाम** : इस्लाम की निशानियां। **शर्मगाहे'ज़न** : औरत की शर्मगाह। **शारेअ़ आम** : आम रास्ता। **शुत्र** : ऊँट। **शोर ज़मीन** : वह ज़मीन जो खार या शोरे के सबब काश्त के क़ाबिल न हो। **शराब ख़्वार** : शराब पीने वाला। **शल** : बेकार। **शिकस्त व रीख़्त** : टूटफूट। **शेवा** : तौर तरीक़ा, आदत। **शारेअ़ आम** : आम रास्ता। **शग़फ़** : दिलचस्पी। **शाहिदैन** : दो गवाह। **शीर'ख़्वार** : दूध पीने वाला बच्चा। **शिस** : मछली पकड़ने का कांटा। **शम** : सूंघने की कुव्वत। **शारेअ़** : ख़ास ख़ास रास्ता।

('स' ص से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

सर्फ़ : ख़र्च। **सिफ़ाते ज़ातिया** : ज़ाती सिफ़ात। **सदहा** : सैकड़ों। **सुहुफ़े मलाइका** : फ़रिश्तों के सहीफ़े। **सवाब** : दुरुस्त। **सादिर** : होना, वाक़ेअ़ होना। **सराहतन** : ज़ाहिर। **सौत** : आवाज़। **सुदूर** : वाक़ेअ़ होना। **सिफ़ाते** : ज़मीमा। **सफ़ी** : बरगुज़ीदा। **सरीह** : वाज़ेह। **सलाते वुस्ता** : नमाज़े अस्र। **सग़ाइर** : सग़ीरा की जमा छोटे गुनाह। **मुनफ़रिद** : सफ़ में अकेला नमाज़ पढ़ने वाला मुक्तदी। **सफ़रा** : पीले रंग का कड़वा पानी। **सबी** : बच्चा। **सन्अ़त** : कारीगरी। **सालेह विलायत** : वली बनने के क़ाबिल। **सोहबत** : हम्बिस्तरी करना। **सराहतन** : साफ़, वाज़ेह तौर पर। **सर्राफ़** : सुनार सोने का काम करने वाले। **सर्फ़** : ख़र्च। **सग़ीर** : सिन्न कम उम्र। **सन्अ़त** : कारीगरी। **सूरते मफ़रूज़ा** : मिसाल के तौर पर बयान की गई सूरत। **सिकाक** : लिखने वाला। **सोहबत** : हम्बिस्तरी। **सर्राफ़** : सोने का कारोबार करने वाला। **सौत** : आवाज़। **सहीहुल'जिस्म** : सहीह बदन वाला। **सबी** : बच्चा। **सवाब** : दुरुस्त। **सुदूर** : वाक़ेअ़ होना अमल में लाना। **सादिर होना** : नाफ़िज़ होना।

('द' ض से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

ज़िद्दैन : दो मुख़ालिफ़ चीज़ें। **ज़ईफ़** : कमज़ोर, लाग़र। **ज़रर** : नुक़सान। **ज़ईफ़ुल'ख़लक़त** : पैदायशी कमज़ोर। **ज़रर** : नुक़सान। **ज़ियाफ़त** : मेहमानी। **ज़र्ब** : मारना। **ज़ारिब** : मारने वाला।

('त' ط ظ से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

ताक़ अदद : वह अदद जो दो पर पूरा तक़सीम न हो। **ताहिर** : पाक। **तबक़ात** : दर्जे। **तश्त** : थाल। **ताक़** : मेहराबनुमा जगह जो दीवार में बनाते हैं। **तमानियत** : तसल्ली। **तबक़** : थाल। **तारी होना** : किसी कैफ़ियत का ग़ल्बा होना। **तूल** : लम्बाई। **तबल** : बड़ा ढोल। **तश्त** : बड़ा बर्तन, बड़ा थाल। **ज़न्ने ग़ालिब** : ग़ालिब गुमान। **तियरा** : बदफ़ाली। **तुग़राए इम्तियाज़** : बड़ाई की अलामत। **ज़र्फ़** : बर्तन।

('अ' ع से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

इस्मत : पाकदामनी। **इत्रफ़रोश** : इत्र बेचने वाला। **अला हस्बे मरातिब** : मर्तबे के मुताबिक़। **असा** : डन्डा। **उयूब** : ऐब की जमा। **इत्रे तहक़ीक़** : तहक़ीक़ का निचोड़। **आलमे अस्बाब** : दुनिया जहाँ हर काम का सबब होता हो। **आलमे दुनिया** : दुनिया। **अताए'इलाही** : अल्लाह तआला की अता। **अक़्ल'रसा** : अक़्ल की पहुँच। **इल्मे'सुलूक** : इल्मे तसव्वुफ़। **इन्दल्लाह** : अल्लाह के नज़्दीक। **इताब** : मलामत, गुस्सा, नाराज़गी। **अमदन** : जानबूझकर। **आरियतन** : आरिज़ी तौर पर दी हुई चीज़। **अक्स** : उलट। **अम्म** : चचा। **उश्र** : दसवां हिस्सा। **उसात** : आसी की जमा गुनाहगार लोग। **अलल'इतलाक़** : मुतलक़। **ऐबदार** : जिसमें ऐब हो। **अफ़ू** : मुआफ़। **अबस** : फ़ुज़ूल, बेफ़ायदा। **औद करना** : लौटना। **आरिज़** : पेश आने वाला, अर्ज़ करने वाला। **अर्ज़** : चौड़ाई। **अक्सी** : फ़ोटो। **आक़िद** : अक़्द करने वाला। **आजिज़** : कमज़ोर, बेबस। **आर** : ऐब, बुराई, शर्म, ग़ैरत। **अब्दियत** : गुलामी। **इत्क़** : आज़ादी। **इज्ज़** : ना'तवानी। **उक़्क़ार** : ज़मीन, ग़ैर मन्कूला जायदाद। **अदावत** : दुश्मनी। **अर्क़** : रस। **अज्मियुन्नस्ल** : अरब के इलावा किसी और ख़ान्दान से तअल्लुक़ रखने वाला। **अज़ीज़** : रिश्तेदार। **इफ़्फ़त** : पारसाई, पाकदामनी। **अफ़ीफ़ा** : पारसा औरत, पाकदामन औरत। **उक़ूद** : मुआमलात। **इलानिया** : खुल्लम खुल्ला। **उलूक़** : हमल ठहरना। **अला'हाज़ल'क़्यास** : इसी पर क़्यास करते हुए। **अमाइदे वहाबिया** : वहाबियों के पेशवा। **औद** : लौटना। **आजिज़** : कमज़ोर। **अज़ीज़** : रिश्तेदार। **उक़ूद** : अक़्द की जमा। **अदम मौजूदगी** : ग़ैर मौजूदगी। **अमदन** : जानबूझकर। **उयूब** : ऐब की जमा। **अफ़ीफ़ा** : पारसा। **उयूब** : ऐब की जमा नक्स। **उलूव्वे हिम्मत** : बलन्द हिम्मत। **उक़ूबात** : सज़ायें। **अबस** : बेकार। **आलम** : दुनिया। **इत्क़** : आज़ादी। **अदावत** : दुश्मनी।

('ग़' غ से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

ग़ैब व शहादत : पोशीदा और ज़ाहिर। **ग़िलमान** : जन्नत के कम'सिन्न ख़ादिम। **ग़ैर महरम** : जिससे निकाह जाइज़ हो। **ग़ुलू** : हद से गुज़र जाना, बहुत ज़्यादा मुबालग़ा करना। **ग़ैर जहरी** : वह नमाज़ें जिनमें पस्त आवाज़ से क़िरात कीजाती है मसलन ज़ुहर व अस्र। **ग़रीबुल'वतन** : मुसाफ़िर। **ग़ैर'मुतनाही** : जिसकी कोई हद न हो। **ग़ैर सबीलैन** : आगे और पीछे के मक़ाम के इलावा। **ग़ैबते हव्शा** : सरे ज़कर का छुपजाना। **ग़ैर'मामून** : जिससे अमन न हो, ग़ैर महफ़ूज़, जो क़ाबिले इत्मिनान न हो। **ग़ासिब** : नाजाइज़ क़ब्ज़ा करने वाला। **ग़ुदूद** : गिल्टी। **ग़ैर मदख़ूला** : वह औरत जिससे

सोहबत न की गई हो। ग़ैर मौतूह : वह औरत जिससे सोहबत न की गई हो। ग़ैर क़ाबिले क़िस्मत : जो तक़सीम न होसके। ग़रीम : क़र्ज़ देने वाला। ग़साला : धोवन। ग़सब : नाजाइज़ क़ब्ज़ा। ग़ैबत : ग़ैर मौजूदगी। ग़ुरमा : क़र्ज़ख़्वाह। ग़लीज़ : नापाक, गन्दा। ग़ैर अम्वाले रिबविया : ग़ैर सूदी माल।

('फ़' ف से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

फ़ुज्जार : फ़ाजिर की जमा, बदकार। फ़र्दन फ़र्दन : जुदा जुदा, अलैहिदा अलैहिदा। फ़ुस्साक़ : फ़ासिक़ की जमा गुनाहगार। फ़स्ले तवील : लम्बा फ़ासिला। फ़हम : समझ। फ़सादे बाज़ : बाज़ का फ़ासिद होना। फ़र्बा : मोटा, सेहत'मन्द। फ़र्जे ख़ारिज : औरत की शर्मगाह का बाहरी हिस्सा। फ़राख़ : कुशादा। फ़'लिहाज़ा : इसी लिये, इसी वजह से। फ़त्हे बाब : दरवाज़ा खोलना। फ़लाहे दुनियवी : दुनियवी कामयाबी। फ़सादे कुल : कुल का फ़ासिद होना। फ़ाल : शगुन। फ़रजे दाख़िल : शर्मगाह का अन्दरूनी हिस्सा। फ़ासिल : जुदा करने वाला। फ़स्द का ख़ून लेना : रग खोलकर फ़ासिद ख़ून निकलवाना। फ़ुरक़त : अलैहिदगी, जुदाई। फ़रबा : मोटा। फ़बिहा : बहुत ख़ूब, बेहतर। फ़स्ल : जुदाई। फ़ज़ए अकबर : बड़ी सख़्ती, बड़ी घबराहट। फ़रेफ़्ता : आशिक़। फ़हमायश : नसीहत। फ़रिस्तादा : क़ासिद। फ़र्राश : वह शख़्स जो फ़र्श बिछाने और रौशनी वग़ैरह करने की ख़िदमत अन्जाम देता है। फ़स्ख़ : ख़त्म। फ़ुज़ूलियात : बेकार और लग्व बातें। फ़ाक़ा कशी : भूका रहना। फ़ुस्साक़ : फ़ासिक़ की जमा बुरे लोग। फ़ेअ़ले क़बीह : बुरा काम। फ़ज़ीहत : ज़िल्लत, रुसवाई। फ़हश : बेहयाई। फ़ुजूर : गुनाह। फ़ुतूर : ख़राबी। फ़लाह : कामयाबी। फ़हम : समझ। फ़रस : घोड़ा।

('क़' ق से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

क़ुल्फ़ा : उज़्वे तनासुल का सिरा बिग़ैर ख़त्ना किये हुए। क़दीम : जो हमेशा से हो। क़वी'हैकल : मज़बूत जिस्म, मज़बूत बदन। क़लई : सैक़ल (पालिश) किया हुआ। क़द्र : मिक़दार। क़स्दन : जानबूझकर। क़र्ज़ख़्वाह : उधार देने वाला। क़तए'रहम : रिश्ता, नाता तोड़ना। क़रया : गाँव, देहात। क़ुव्वत व ज़ोअ़फ़ : ताक़त और जिस्मानी कमज़ोरी। क़ज़ा : तक़दीर। क़ुर्ब : नज़्दीकी। क़बीह : बुरा। क़िल्लत : कमी, थोड़ा। क़ुर्स : गोल चीज़, टिकिया। क़ातेअ़ नमाज़ : नमाज़ को तोड़ने वाला। क़हक़हा : इतनी आवाज़ से हंसना कि आस पास वाले सुनें। क़ुफ़्ल : ताला। क़ुर्से आफ़ताब : सूरज की टिकिया। क़ुब्बा : गुम्बद। क़राबत : रिश्तेदारी। क़सावते क़ल्बी : सख़्त दिली। क़हते-बारां : बारिश का न होना। क़ज़ाए शहवत : शहवत को पूरा करना। क़ब्लुल'क़ब्ज़ : क़ब्ज़े से पहले। क़ाबिले शहादत : गवाही देने के लाइक़। क़ुर्आ : क़ुर्आ अन्दाज़ी करना, पर्ची निकालना। क़ुर्बत : वती, हम्बिस्तरी। क़रीबुल'बुलूग़ : बालिग़ होने के क़रीब। बेक़स्द : इरादे के बिग़ैर। क़ासिर : आजिज़। क़तई : यक़ीनी। क़र्शी : क़ुरैश क़बीले से तअ़ल्लुक़ रखने वाला। क़स्दन : इरादतन, जानबूझकर। क़ाबिले क़िस्मत : तक़सीम के क़ाबिल। क़ाबिज़ : क़ब्ज़ा करने वाला। क़राबत : क़रीबी रिश्तेदार। क़ज़ा : हुक्म, फ़ैसला। क़र्ज़'ख़्वाह : क़र्ज़ देने वाला। क़ज़िफ़ : ज़िना की तोहमत लगाने वाला। क़रीने क़्यास : समझ में आने वाला। क़ुफ़्ल : ताला। क़स्द : इरादा। क़र्ज़दार : मक़रूज़। क़ाबिले इन्तिफ़ा : नफ़ा उठाने के क़ाबिल। क़ज़ाए क़ाज़ी : क़ाज़ी का फ़ैसला। क़ासिद : पैग़ाम पहुँचाने वाला। क़स्दन : इरादतन। क़िबाल : तरमे। क़ब्ज़े : समन क़ीमत : वुसूल करलेना। क़दरे किफ़ायत : इतनी मिक़दार जो उसके लिये किफ़ायत करे। क़ुव्वते क़राबत : रिश्ते की मज़बूती। क़बीह : बुरा। क़ज़ाए क़ाज़ी : क़ाज़ी का शरई फ़ैसला। क़ुसूर : कोताही, कमी, ग़ल्ती। क़ातेअ़ : काटने वाला। क़रया : गाँव। क़सावते क़ल्बी : दिल की सख़्ती। क़तील : मक़तूल। क़ुव्वत : ताक़त। क़य्यिम : निगरां।

('क' ک से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

कुरेदकर : खुरचकर। कंकाश : तलाश। कबाइर : कबीरा की जमा, गुनाहे कबीरा। करख़्त : सख़्त। काहिन : जिन्नों से दरयाफ़्त करके ग़ैब की ख़बरें या क़िस्मत का हाल बताने वाला। कस्बी औरतें : बाज़ारी औरतें, बदकार औरतें। कुशादगी : वुस्अ़त। कोढ़ी : बर्स की बीमारी। कन्दा : लिखा हुआ। किफ़ायत : काफ़ी होना। कूंचें : वह मोटा पट्ठा जो आदमी की एड़ी के ऊपर और चौपायों के टख़्ने के नीचे होता है। कुसूफ़ : सूरज गिरहन। कुब : इन्सान की पीठ का झुकाव। कल'अदम : न होने के बराबर। कन्खियों : तिर्छी निगाह, निगाह फेरकर देखना। करीह : क़ाबिले नफ़रत। कौन्दा : बिजली की चमक। कुलफ़त : रन्ज, तकलीफ़। कजी : टेढ़ापन। कच्चा बच्चा : वह बच्चा जो हमल की मुद्दत से पहले पैदा होजाये। कशाइश : कुशादगी, फ़राख़ी। कज़्ज़ाब : बड़े झूटे। कसीरुल'वुक़ूअ़ : कस्रत से वाक़ेअ़ होने वाला। खोट : मिलावट, नक़्स। कोख : पहलू, शिकम, पेट के नीचे की वह जगह जहाँ हड्डी नहीं होती। कराहते तहरीम : मकरूह तहरीमी। कंगन : कलाई का एक ज़ेवर। कराहियत : नफ़रत। काठी : घोड़े की ज़ीन। कमानीदार : स्प्रिंग वाले। कुफ़रान : ना'शुक्री। कूज़ापुश्त : कुबड़ा, कुब्बा। कहगल : मिट्टी की लिपाई। कुतुबे शरईया : तफ़सीर व हदीस वग़ैरह किताबें। कस्मपुर्सी : ऐसी हालत जिसमें कोई पुरसाने हाल न हो। कटखना कुत्ता : बहुत ज़्यादा काटने वाला कुत्ता। खुटकना : किसी चीज़ का अगले दाँतों से काटना या तोड़ना। किफ़ालत : गारन्टी। खुर : जानवरों के पाँव। कनीज़ : लौन्डी। कस्ल : सुस्ती। कुजा : कहाँ। कुदूरत : नफ़रत। कूच : रवानगी। कोरे घड़े : मिट्टी के नये मटके। किफ़ाअत : कफ़ू होना। किफ़ालत : ज़मानत। काबीन'नामा : महर'नामा, महरे निकाह की तहरीर। कुफ़राने नेअ़मत : नेअ़मत की ना'शुक्री। कल'अदम : गोया कि है ही नहीं। कारे इफ़ता : फ़तवा देने का काम। किब्रियाई : अज़मत, बुज़ुर्गी। करवट : पहलू। कुन्बा : ख़ान्दान। कनीज़े मुश्तरक : ऐसी लौन्डी जिसके मालिक दो या ज़्यादा हों। कुफ़ू : हम पल्ला, हसब व

नसब में हमपल्ला। कुंवारी : बिन ब्याही। केरी : छोटा कच्चा आम। कसब : कमाई। कलिमाते दुश्नाम : नाजेबा कलिमात। कमीन : कमीना, नीच। कारिन्दा : कारकुन। कून्डा : नज़्र व न्याज़ की रस्म। काज़िब : झूटा। खरे दाम : पूरी कीमत। कोरा कपड़ा : नया कपड़ा। कैली : वह चीजें जो मापकर बेची जाती हैं। कूचा–ए–नाफ़िज़ा : वह गली जिसमें दोनों तरफ़ रास्ता हो। कूचा–ए–सर'बस्ता : वह गली जो एक तरफ़ से बन्द हो। कौड़ी : एक किस्म का छोटा सिक्का। कूचा : गली। कचहरी : वह जगह जहाँ मुक़द्दमे की पैरवी हो। कड़ी : शहतीर। कतबह : वह इबारत जो किसी इमारत या क़ब्र पर बतौर यादगार तहरीर या कन्दा हो। काठी : लकड़ी की बनाई हुई नशिस्त जो ज़ीन के मुशाबह लेकिन उससे थोड़ी बड़ी होती है। कहगल : पलस्तर। कुबड़ा : वह शख़्स जिसकी पीठ झुकी हुई हो। कितमाने इल्म : इल्म छुपाना। कोताह : मुख़्तसर। कातिब : लिखने वाला। कस्रे शान : ख़िलाफ़े शान। काज़िब : झूटा। कम फ़हमी : समझ की कमी। कनफ़ : पनाह, हिफ़ाज़त। कस्ल : सुस्ती। कौतल : सजा हुआ घोड़ा। कुन्डा : मिट्टी का बर्तन, परात। कुशादा : वसीअ़। कौसज : छिदरी दाढ़ी वाला। कूबा : एक किस्म का बाजा।

('ग' گ से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

गिरां : तकलीफ़देह, दुश्वार, महंगा। घोड़े आपड़े : घोड़े रौन्द डालें। गोदना : बदन में सुई से सुर्मा या नील भरना। घायल : ज़ख़्मी होना। गामन : वह जानवर जिसके पेट में बच्चा हो। गच : चूने का पत्थर। गोशों : गोशे की जमा, कोनों। घाईयां : उंगलियों के दरम्यान की जगह। घिन : नफ़रत। घट : कम। गोज़ : वह गन्दी हवा जो मिक़अ़द की राह से ब'आवाज़ बुलन्द ख़ारिज हो। गिरह : गांठ, गज़ का सोलहवां हिस्सा। गोदी : बन्दरगाह का एक हिस्सा। घुर्सना : किसी चीज़ में अटकादेना। गुन्दना : एक किस्म की तरकारी जो लहसुन से मुशाबह होती है। गट्टों : टख़्नों। गन्दा दहनी मुँह से बदबू आने की बीमारी। गाभा : पौधों के साथ लगा हुआ कच्चा ताज़ा अनाज। घात : ताक, मौक़ा, दाव। गवाहाने आदिल : आदिल गवाह। गाहे गाहे : कभी कभी। गहने : एक किस्म के ज़ेवरात। गोशमाली : सज़ा के तौर पर कान मरोड़ना। गिरां : महंगा। गुद्दी : गर्दन का पिछला हिस्सा। गोरकुन : क़ब्र खोदने वाला। घाट : चश्मा, पानी निकलने की जगह। गवय्या : गाना गाने वाला। गुरसंगी : भूक। गल्ला : चौपायों का रेवड़। घमन्ड : गुरूर। गुफ्फा : गुच्छा। घात : ताक, चाल। गुलफ़ाम : लब, गुलाबी होंट। गच : चूना। घूंसा : मुक्का।

('ल' ل से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

लबकुशाई : बात करना। ला'जर्म : लाज़िमी, ज़रूरी। लहन : तरन्नुम, ग़लती। लाग़र : कमज़ोर, दुबला, पतला। लुन्झा : लंगड़ा, लूला। लुआ़ब : थूक। लट्ठे : शहतीर, लकड़ी। लगुन : टब, तश्त। लज़्ज़ात : मज़े लेना। लेसी गई : लेपी गई। लुप : चुल्लू। लंगोट : कम अर्ज़ कपड़ा जो फ़ुक़रा या पहलवान बान्धते हैं। लग़ज़िश : ख़ता। लबरेज़ : भरा हुआ। लंग : पाँव का नक़्स। लिथड़ जाना आलूदा होना। लगवियात बेहूदा बातें। लिबासे फ़ाख़िरा फ़ख़िया लिबास। लग्वियाते : फ़लासिफ़ा : फ़लसफ़ियों की बेहूदा और बेकार बातें। लगान : सरकारी महसूल। लिवातत : लड़कों के साथ बद फ़ेअ़ली करना। लुब्स : पहनना। लईम : कमीना, घटिया।

('म' م से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

मुहाल : ना'मुम्किन। मुहालात : मुहाल की जमा। मुख़्तार : बा'इख़्तियार। मिन्जानिबिल्लाह : अल्लाह की तरफ़ से। मफ़ज़ूल : वह शख़्स जिसपर किसी को फ़ज़ीलत दीजाये। मुरसलीन : मुरसल की जमा, अल्लाह की तरफ़ से भेजे गये रसूल। मुहीत : घेरे हुए इहाता किये हुए। मअ़रिफ़ते : ज़ात ज़ात की पहचान। मशिय्यते इलाही : अल्लाह की मर्ज़ी। मां व शुमा : हम और आप। मन्सबे अज़ीम : बड़ा मरतबा। मसावी : बराबर। मुल्कगीरी : मुल्क पर तसल्लुत क़ाइम करना। मलक : फ़िरिश्ता। मुनज़्ज़ा : पाक, ऐबों से बरी। मुतनाही : जिसकी कोई हद हो। मुलूक : सलातीन, बहुत से बादशाह। मफ़कूद : नापैद। मजाल : ताक़त, क़ुदरत। मुतअ़ल्लिक़ीन : तअ़ल्लुक़ रखने वाले। महकूम : इख़्तेयार में। मसालेह : मसलेहतें। मब्गूज़ : क़ाबिले नफ़रत। मरघट : हिन्दुओं के मुर्दे जलाने की जगह। महसूर : घिरा हुआ। मआ़सी : गुनाह। मुसव्वर : तस्वीर किया गया। मुत्तबेईन : पैरवी करने वाले। मसील : हमशक्ल वैसा ही। मन्क़सत : कमी, घटाना, नक़्स। मुक़्तदा : पेशवा, रहनुमा। मुफ़्सिद : झगड़ा करने वाला, बाग़ी। मुआ़निद : दुश्मन। मद्दे नज़र : पेशे नज़र, सामने। मोज़ेअ़ फ़र्ज़ : जिस्म का वह हिस्सा जिसका धोना फ़र्ज़ है। मुतवस्सित : दरम्याना। मदारिजे विलायत : विलायत के दर्जे। मुज़य्यन : आरास्ता, सजाया हुआ। मादरज़ाद : पैदायशी। मअ़ : साथ। मुश्ताक़े ज़्यारत : ज़्यारत का शौक़ रखने वाला। मुतवस्सेलीन : नज़्दीकी चाहने वाले। मन्सब : मरतबा। मन व तू : मैं और तू। मुशाहिद : हाज़िर, ज़ाहिर। मुतशक्किल : शक्ल इख़्तेयार करना। मसाइब : मुसीबत की जमा। मक़ाबिर : मक़बरे की जमा, क़ब्रिस्तान। मुद्दईए मुहब्बत : मुहब्बत का दावा करने वाला। मुरव्वत : अख़लाक़, इन्सानियत। मदाइह : तारीफ़ें। ला'मज़हब : जिसका कोई मज़हब न हो। मामुन : महफ़ूज़, बेख़ौफ़। मुल्कदारी : इन्तिज़ामे हुकूमत। मुतसव्विफ़ : बनावटी सूफ़ी। मुन्हसिर : महदूद। मुहीत : घेरने वाला। मस : छूना। मौज़िए निजासत : निजासत की जगह। मानेअ़ : रोकने वाला, रुकावट। मुतरत्तब : तर्तीब दिया हुआ। म्यानी : पाजामा का वह हिस्सा जो पेशाब'गाह के क़रीब होता है। मख़्फ़ी अम्र : पोशीदा मुआ़मला। मांझलेना : साफ़ करलेना। मुतयक़्किन : यक़ीनी। मीचलीं : बन्द करलीं। मुतनब्बेह : ख़बरदार। मस्दूद : बन्द किया गया। महव : मिटा हुआ। मिस्सी : एक किस्म का मन्जन। मरईया : जिसको देख सकें। मसाहत : ज़मीन की पैमाइश।

मुतजाविज़ : अपनी हद से बढ़ने वाला। **मुन्तबिक** : मुवाफ़िक़, बराबर। **महाज़ी** : सामने, बराबर। **मुवाजहा** : आमने सामने। **मुरतकिब** : इर्तिकाब करने वाला, किसी फ़ेअ्ल का करने वाला। **मुजर्रब** : आज़माया हुआ। **मोअ़ज़्ज़मे दीनी** दीनी पेशवा। **मुतज़म्मिन** : दाख़िल, शामिल। **मआज़ल्लाह** : अल्लाह की पनाह। **मख़रज** : निकलने की जगह। **मौक़ए निजासत** : निजासत गिरने की जगह। **मुक़त्तआत की अंगूठी** : वह अंगूठी जिसपर हुरूफ़ मुक़त्तआत लिखे हुए हों जैसे الـم वग़ैरह। **मुजामअ़त** : हम्बिस्तरी करना। **मुर्दा पोस्त** : मुर्दा खाल। **मुतहय्यर** : हैरान। **मुज़ायक़ा** : हरज। **मुत्तसिल** मिला हुआ। **मतली** : जी मतलाना। **मुज़र्रत** : नुक़सान। **मुस्तग़रक़** : घिरा हुआ। **मग़मूम** : ग़मगीन। **मख़्फ़ी** : पोशीदा **मुशारकत** : शरीक होना। **मजमूअ़तन** : मजमूई तौर पर। **मुकर्रर** : दोबारा, बार बार। **मज़िन्नए निजासत** : निजासत का गुमान। **मूजिब** : वाजिब करने वाला। **मुदावमत** : हमेशगी। **मुतमय्यिज़** : इम्तियाज़, जुदा। **मुतजज़्ज़ी** : तक़सीम होना **मुसल्ला** : जायनमाज़। **मुश्तही** : क़ाबिले शहवत लड़का। **मअ़ किरात** : क़िरात के साथ। **मुनादी** : पुकारने वाला। **महसूब** : शुमार किया गया। **मोहतम बिश्शान** : निहायत अहम, अ़ज़ीम। **मुराहिक़ा** : वह लड़की जो बालिग़ होने के क़रीब हो। **मुज़्तर** : तकलीफ़ में मुब्तला, मजबूर, परेशान। **माज़ून** : वह गुलाम जिसे तिजारत की इजाज़त दीगई हो। **मतबूअ़** : सरदार, जिसकी पैरवी कीजाये। **मयका** : औरत के वालिदैन का घर। **मूरिस्** : वारिस् करने वाला। **मजूसिया** : आतिश परस्त। **मनफ़अ़त** : नफ़ा, फ़ायदा। **मुज़िर** : नुक़सानदेह। **मब्गूज़** : ना पसन्दीदा। **मुसर्रह** : वाज़ेह। **मअ़दूम होना** : ख़त्म होना। **मख़रूती** : गाजरनुमा। **मोअक्कद** : ताकीद किया गया। **मौज़ए इक्तिदा** : इक्तिदा की जगह। **महारिम** : महरम की जमा, जिससे निकाह हमेशा हराम हो। **मुस्तबअ़द** : क़यास से दूर, बईद। **मशरूअ़** : शरीअत के मुवाफ़िक़। **मा बक़िय** : बाक़ी। **मरग़ूब** : पसन्दीदा। **मुतमत्तेअ़** : फ़ायदा उठाना। **मुस्तक़र** : ठहरने की जगह। **मरजअ़** : रुजूअ़ करने की जगह। **मुतवातिर** : मुसलसल, लगातार। **मुसाफ़हा** : हाथ मिलाना। **मोहलिक मर्ज़** : वह बीमारी जिसमें जान जाने का अन्देशा हो। **मसारिफ़** : मसरफ़ की जमा, ख़र्च करने की जगह। **मअ़सियत** : ना फ़रमानी, गुनाह। **मदयून** : मक़रूज़। मुजरा जारी किया गया, कटौती। **मअ़दिनी** : वह चीज़ें जो कान से निकलें। **मीआद** : मुद्दत। **मायाए इज़्ज़त** : बाइसे इज़्ज़त। **मुज़बज़ब** : एक ख़्याल पर क़ाइम न रहने वाला। **मोअ़तदबिही** : बहुतसा, तादाद या मिक़दार में ज़्यादा, क़ाबिले एअ़तिमाद। **मुतवल्ली** : इन्तिज़ाम करने वाला। **मम्लूक** : मिल्कियत, गुलाम। **मुस्तइद** : तैयार। **मोअ़तमद** : क़ाबिले एअ़तिमाद। **मग़्ज़** : गिरी, किसी चीज़ का अन्दुरूनी हिस्सा। **मिल्क** : मिल्कियत, मालिक होना। **मसास** : जिस्म के किसी हिस्से को शहवत उभारने के लिये छूना या मलना। **मबीअ़** : बेची गई चीज़। **मुतवस्सितुल हाल** : दरम्यानी हालत। **मेहनताना** : मेहनत का सिला। **मूए बग़ल** : बग़ल के बाल। **मोअ़त्तर** : ख़ुशबू में बसा हुआ। **मोल लेना** : किसी चीज़ को ख़रीदना। **मअ़न** : साथ। **मलाल** : रन्ज, अफ़सोस। **मुआनक़ा** : गले मिलना। **मालगुज़ारी** : ज़मीन का लगान। **मोअय्यन** : मुक़र्रर। **मुसल्लम** : पूरा, सब तस्लीम किया गया। **मुफ़्लिस** : ग़रीब। **मेअ़मार** : इमारत बनाने वाला। **मअ़दिन** : कान। **मुद्दई** दावा करने वाला। **मसाना** : जिस्म के अन्दर पेशाब की थैली। **मुआख़ज़ा** : जवाब तलबी, बाज़पुर्स। **मोहतात फ़िद्दीन** : दीन के मुआमले में एहतियात करने वाला। **मतलअ़** : तुलूअ़ होने की जगह। **मौला** : आक़ा। **मुक़द्दमाते हज** : हज के मसाइल। **मूज़ियों** : मूज़ी की जमा तकलीफ़ देने वाले। **मस्तूरात** : मस्तूरा की जमा पर्दा नशीन औरतें। **मुतव्विफ़** : तवाफ़ करने वाला। **मुशव्विश** : परेशान। **मामूर** : हुक्म किया गया, मुक़र्रर। **मवानेअ़** : मानेअ़ की जमा। **मुतमव्विल** : मालदार। **मरतूब हवा** : वह हवा जिसमें नमी हो। **मुबादा** : ख़ुदा न ख़्वास्ता। **मजरा** : आदाब बजा लाना, सलाम करना। **महशूर** : हश्र किया गया, क़यामत में उठाया गया। **मन्हर** : नहर (क़ुर्बानी) करने की जगह। **मूचना** : बाल उखेड़ने का आला। **मसंनूई** : मुर्दा सन्ग, सफ़ेद रंग का पत्थर जो दवाओं में काम आता है। **मुज़क्किरा बाला** : ऊपर ज़िक्र किये गये। **मुताबअ़त** : पैरवी। **मुनहरिफ़** : फिरा हुआ। **मुफ़्तरिज़** : फ़र्ज़ पढ़ने वाला। **मुतनफ़्फ़िल** : नफ़्ल पढ़ने वाला। **मन्सूब** : खड़ा। **मौज़ए इहानत** : ज़िल्लत की जगह। **मज़बह** : ज़बह करने की जगह। **मिन जिहतिल इबाद** : बन्दों की तरफ़ से। **मुर्तहिन** : जिसके पास चीज़ गिरवी रखी गई हो। **मुस्तहक़े नार है** : जहन्नम का हक़दार है। **मरहून** : जो चीज़ गिरवी रखी गई है। **मुस्तग़रक़** : घेरे हुए। **मवासात** : ग़मख़्वारी और भलाई। **मुजर्रद** : तन्हा। **मुग़ल्लज़ात** : फ़हश गालियां। **मीज़ान मीज़ान** : बराबर करना। **मुबाहात फ़ख़्र** : मनक़बत बुज़ुर्गाने दीन, औलियाअल्लाह की तारीफ़ के अशआर। **मुबहम** : पोशीदा। **मून्ढे** : कन्धे, शाने। **मौज़ए सुजूद व क़दम का पाक होना** : सजदा और पाँव रखने की जगह का पाक होना। **मुसल्ली** : नमाज़ी। **मेअ़ज़ना** : मीनारा। **मुतल्ला** : सोने से आरास्ता। **मुक़द्दम** : आगे। **मोअ़ल्लक़** : लटका हुआ। **महल्ले सुजूद** : सजदे की जगह। **मवाज़ेअ़** : जगहों। **मुअ़ल्लिमे अजीर** : उजरत पर पढ़ाने वाले। **मोअक्किल** : वह शख़्स जो वकील मुक़र्रर करे, वकील करने वाला। **मदयून का कफ़ील** : मक़रूज़ का ज़ामिन। **मुद्दआ अलैहि** : वह शख़्स जिसपर दावा किया जाये। **मुन्क़तअ़** : जुदा। **मुश्त** : एक मुट्ठी। **मकतूब इलैहि** : जिसे ख़त पहुँचा। **मुख़्रिबे अख़लाक़** : अख़लाक़ को बिगाड़ने वाली। **मुग़र्रक़** : सोना चाँदी में लिपा हुआ। **मुतहक़्क़क़** : साबित शुदा, तहक़ीक़ शुदा। **मिल्क** : मिल्कियत। **मोअक्किल** : वकील बनाने वाला। **मुतअ़य्यन** : मोअय्यन किया हुआ, मुक़र्रर किया हुआ। **मुन्किर** : इनकार करने वाला। **मक़तूअ़** : कटा हुआ। **मजूसिया** : आग की पूजा करने वाली। **मटका** : मिट्टी का बड़ा घड़ा। **मीआद** : मुद्दत। **महसूब** : शुमार किया गया, शुमार किया हुआ। **मन्झली** : दरम्यानी। **मौला** : मालिक, आक़ा। **मोअक्कद** : ताकीद किया गया, जिसकी ताकीद की गई हो। **मअ़यूब** : ऐब वाला। **मोअक्किला** : वकील बनाने वाली। **मदख़ूला** : ऐसी औरत जिससे

सोहबत की गई हो। **मुतबन्ना** : मुँह बोला बेटा। **मुत्तक़िया** : परहेज़गार औरत। **मज्लिसे अक़्द** : वह जगह जहाँ अक़्द हो। **मदयूना** : वह औरत जो मक़रूज़ हो। **मजहूल** : ना'मअ्लूम। **मदार** : इन्हिसार। **मूए ज़ेरे नाफ़** : नाफ़ के नीचे के बाल। **मअ़न** : फ़ौरन, साथ ही। **मुतबादिर** : जल्द ज़हन में आने वाला। **मुआवज़ा** : बदला। **मुत'फ़र्रिक़** : जुदा जुदा। **मख़्फ़ी** : पोशीदा। **मुन्तसब** : मन्सूब। **मक़तूउज़्ज़कर** : जिसका उज़्वे मख़्सूस कटा हुआ हो। **मुतकफ़्फ़िल** : किफ़ालत करने वाला। **मुक़िर** : इक़रार करने वाला। **मफ़लूज** : फ़ालिज की बीमारी वाला। **मअ़बूदाने बातिल** : झूटे ख़ुदा। **मुतजाविज़** : हद से बढ़ने वाला। **मरजूम** : जिसको रज्म किया गया (पत्थर मारकर हलाक किया गया)। **मुनहमिक** : कामिल तवज्जोह से किसी काम में लगा हुआ। **मुअ़न'वन** : मुख़्तस। **मुतनब्बेह** : दूसरी चीज़ के सामने या बराबर में होना। **मन्कूहा** : बीवी। **मअ़रूफ़** : मशहूर। **महाज़ात** : एक चीज़ का मम्लूक : गुलाम। **मुन्तफ़ी** : ख़त्म। **मसारिफ़** : मसरफ़ की जमा, ख़र्च करने की जगह, ख़र्चे। **मुत्तहम** : जिसपर तोहमत लगाई गई हो। **माह ब'माह** : माहाना। **मुज़िर** : नुक़सान देने वाला। **मुक़ारिन** : मिलाहुआ। **मुस्तमिर** : जारी। **मसाफ़त** : दूरी। **मस्ख़रापन** : मस्ख़रे की तरह हरकतें या बातें करना। **मुकल्लफ़** : जिसपर शरई अहकाम की पाबन्दी लाज़िम हो। **मुरब्बी** : परवरिश करने वाला। **मुहासिरा** : चारों तरफ़ से घेरा डालना। **मसाइब** : तकलीफ़ें। **मामून** : अमन में, महफ़ूज़। **मुसालेह** : फ़लाह व बहबूद। **मजहूलुन्नसब** : जिसका बाप मालूम न हो। **मारूफ़ुन्नसब** : जिसका बाप मालूम हो। **मुसाफ़रत** : हालते सफ़र। **मुन्क़तअ़** : ख़त्म। **मुस्तग़रक़** : डूबा हुआ। **मुन्हदिम** : होगई गिरगई। **मुक़ीम** : क़याम करने वाला, ठहरने वाला। **मुतआरिज़** : एक दूसरे के मुख़ालिफ़। **मिन'वजह** : एक वजह से। **मक़दूरुत्तस्लीम** : चीज़ को दूसरे के सिपुर्द करने पर क़ादिर होना। **मुबादला** : बाहमी तबादला। **मुसहफ़ शरीफ़** : क़ुर्आन मजीद। **मस्तूल** : जहाज़ या कश्ती का सुतून। **मरूर** : गुज़रना। **मसाना** : जिस्म के अन्दर पेशाब की थैली। **मुक़रिज़** : क़र्ज़ देने वाला। **मुजीज़** : इजाज़त देने वाला। **मुतफ़र्रिद** : अकेला, तन्हा। **माल व मता** : सामान व दौलत वग़ैरह। **मज़ामीर** : मुँह से बजाये जाने वाले बाजे। **मामूर** : जिसे हुक्म दिया गया हो। **मुआख़ज़ा** : गिरफ़्त, पकड़। **मम्नूउत्तसर्रुफ़** : जिसको मुआमलात तै करने से रोक दिया गया हो। **मूजेह** : वजाहत करने वाला। **मुहासिल** : आमदनी, नफ़ा। **मअ़कूल** : मिक़दार, मुनासिब मिक़दार। **मुज़ायक़ा** : क़बाहत, हरज। **मसर्रत** : ख़ुशी। **मुक़य्यद** : क़ैद किया हुआ क़ैदी। **मुत्तसिलन** : साथ ही, वक़्फ़ा के बिग़ैर। **मन्जन** : दाँत साफ़ करने वाला पावडर। **मुन्शी** : हिसाब किताब रखने वाला। **मुसालहत** : बाहमी सुलह। **मुस्तक़रिज़** : क़र्ज़ लेने वाला। **महल्ले बैअ़** : वह चीज़ जिसपर ख़रीद फ़रोख़्त का हुक्म लग सके। **मअ़कूद'अ़लैहि** : जिस चीज़ पर अ़क़्द किया जाये। **महमूद** : तारीफ़ किया गया। **मौज़ून** : मुनासिब। **मोअ़्तमद'अ़लैहि** : क़ाबिले एअ़्तिमाद। **मुतनाज़अ़'फ़ीहा** : जिस मुआमला में झगड़ा हो। **मदायनात** : क़र्ज़ का लेन,देन। **मज़्मूना** : तावान दिया हुआ। **मकतूब** : लिखा हुआ। **मौक़ूफ़'अ़लैहिम** : जिनपर जायदाद वग़ैरह वक़्फ़ की गई हो। **म्यान** : न्याम। **मुहाल** : जिसका पायाजाना मुम्किन ही न हो। **मरहून** : गिरवी रखी हुई चीज़। **मुज़ारेअ़** : काश्तकार। **महसल** : ख़ुलासा। **मिल्के ग़ैर** : दूसरे की मिल्क। **मोअ़्तद्दा** : इद्दत गुज़ारने वाली। **मुन्कर** : जिसका इन्कार किया गया हो। **मुश्तहात** : वह लड़की जो क़ाबिले शहवत हो। **मुतर्जिम** : एक ज़बान की बात दूसरी ज़बान में बयान करने वाला, तर्जमान। **मुक़्तसिर** : थोड़े पर क़नाअ़त करने वाला। **मुहीत** : घेरने वाला। **मुफ़्लिस** : नादार, मोहताज। **मुक़ल्लिद** : तक़लीद करने वाला। **मुर्ज़िआ़** : दूध पिलाने वाली औरत। **मुराफ़आ़** : अपील। **मुन्किर** : इन्कार करने वाला। **मग़सूब** : ग़सब की हुई चीज़। **मुनादा** : जिसे पुकारा गया हो। **मरसूम** : आदत के मुताबिक़। **मुत'बर्रेअ़** : एहसान करने वाला, भलाई करने वाला। **मुन्तक़िम** : बदला लेने वाला। **मुसम्मा** : नाम रखा गया। **मुत'नाक़िज़** : मुख़ालिफ़। **मुनाज़अ़त** : झगड़ा। **मुस्तस्ना** : जिसे मक़सूद से ख़ारिज करदिया गया हो। **मुस्ताजिर** : ठेकेदार। **मजूसी** : आग की इबादत करने वाला। **मज़रूआ़ ज़मीन** : काश्त की हुई ज़मीन। **मुज़हिर** : ज़ाहिर करने वाला। **मौलिद** : जाए'पैदायश, वतन। **मुस्तहकम** : मज़बूत। **मुआ़लिज** : डाक्टर। **मकतूब'इलैहि** : जिसकी तरफ़ ख़त लिखा गया। **मुअ़ल्लेमीन** : सिखाने वाले, रहनुमाई करने वाले। **मुजाहदा** : रियाज़त करना, निहायत लगन से इबादत कररना। **मुज़मर** : पोशीदा। **मईशत** : रोज़गार। **मअ़यूब** : ऐब वाला। **मदख़ूला** : ऐसी औरत जिससे सोहबत की गई हो। **मज्लिसे अ़क़्द** : वह मज्लिस जिसमें अ़क़्द हो। **मजहूल** : ना'मालूम। **मुश्तरी** : ख़रीदार। **मुजरा** : कटौती। **मुज़र्रत** : नुक़सान, जिसमानी तकलीफ़। **मुज़ारेअ़** : काश्तकार। **मुन्केरीन** : इन्कार करने वाल। **मुन्हदिम होगया** : गिरगया। **मशफ़ूआ़** : शुफ़आ़ की हुई जायदाद। **मज़ाहिबे बातिला** : इस्लाम के इलावा दीगर मज़हब। **मानेअ़ सेहत** : सहीह होने में रुकावट। **मोहरकन** : अंगूठी बनाने वाला। **मानेअ़** : मना करने वाला। **मुख़्बिर** : ख़बर देने वाला। **मरग़ूबफ़ीह** : जिसमें दिलचस्पी हो। **मुत्तहम** : जिसपर तोहमत लगाई गई हो। **मनीझा** : हुक़्क़े की नली। **मुज़निया** :वह औरत जिससे ज़िना किया गया हो। **मुन्जिया** : अ़ज़ाबे इलाही से निजात दिलाने वाली। **मोअ़्तकिफ़** : एअ़्तिकाफ़ करने वाला। **मुतहारेबैन** : बाहम लड़ने वाले, जंग करने वाले। **मक़तूउल'उन्फ़** : जिसकी नाक कटी हो। **मक़तूउल'यद** : जिसका हाथ कटा हो। **मादूनन्नफ़्स** : क़त्ल से कम। **सुक्कान** : रहने वाले। **मन्ज़ूर'बिही** : जिसकी मिन्नत मानी गई। **मुसर्रह** : सराहत किया गया। **मुतजब्बिरीन** : जब्र करने वाले। **मौज़ए एहतियात** : एहतियात की जगह। **मआल** : अन्जाम। **मुबाफ़** : कपड़े की पट्टी जो औरतें बालों की चोटी पर लगाती हैं। **मुन्तफ़ेअ़'बिहा** : जिस से नफ़ा हासिल किया जाये। **ममासलत** : बराबरी। **मज़रूब** : मारा हुआ। **मुसालहत** : सुलह। **मुस्कित अ़लैहि** : जिसपर

गिरा है। महज़ून : ग़मगीन। मुहीत : ईहाता किये हूए। मुर्जीज़ : इजाज़त देने वाला। महासिल : आमदनी।

('न' ن से शुरूअ् होने वाले शब्द)

नज़ाफ़त : सफ़ाई। नाक़ा : ऊँटनी। नसीम : सुबह की ठन्डी हवा। नेअ्मते उज़मा : बड़ी नेअ्मत। ना'ख़तनाशुदा : जिसका ख़तना न हुआ हो। नरकुल : सरकन्डा। नादिरन : कमयाब, उम्दा। निस्यान : भुल चूक। ना'गवार : ना'पसन्द। नुत्क़ : गुफ़्तगू, गोयाई। ना'आशना : ना'वाक़िफ़। ना'गहानी : इत्तिफ़ाक़िया। ना'गुफ़्ता'बिही : जिसका न कहना बेहतर हो। निस्फ़ अशर : बीसवां हिस्सा। नन्ग व आर : शर्म व हया। नाग़ा : ग़ैर हाज़िरी। नोअ् इख़्तियार : एक तरह का इख़्तियार। नुसरत : मदद। नियाज़मन्द : मोहताज, आजिज़ी व इन्किसारी का इज़हार करने वाला। नाश : लाश। नेक'ज़नी : अच्छा गुमान। नाज़ुकी : नर्मी। निगहदाश्त : हिफ़ाज़त, निगरानी। निगाह ख़ीरा होना : बहुत रौशन और बहुत चमकती हुई चीज़ पर नज़र करने से आँख का पूरा न खुलना। नथना : नाक का पूरा सूराख़। नादिम : शर्मिन्दा। नादिर : कमयाब। ना'मस्मुअ् : न सुना गया। नानबाई : रोटी पकाने वाला। नायाब : कमयाब, नादिर। नशेब व फ़राज़ : पस्ती व बलन्दी, उतार चढ़ाव। निरी : ख़ालिस। निछावर : निसार, बिखेरना। नियाबतन : क़ाइम मकाम। नुमू : ज़्यादती। नफ़क़ा : रोटी, कपड़े वग़ैरह का ख़र्च। निहाल : ख़ुशहाल। नसरानी : ईसाई। नाख़ुनगीर : नाख़ुन'तराश। नवाक़िज़े वुज़ू : वुज़ू तोड़ने वाली चीजें। ना'गवार : ना'पसन्द। नाफ़िज़ : लागू। नामी : बढ़ने वाला। नग : नगीना। नशिस्त व बरख़ास्त : उठना बैठना। नेक चलन : बा'अख़लाक़ और अच्छे किरदार वाला। नुकूल : क़सम से इन्कार। निस्फ़न निस्फ़ : आधा अधा। ना'मस्मूअ् : ना'क़ाबिले समाअ़त। नामआवरी : शोहरत। नामबुर्दा : जिसका नाम लिया जाचुका है। नर्द : चौसर की गोट या शतरन्ज का मोहरा। नफ़क़ए इद्दत : इद्दत गुज़ारने का ख़र्च। निर्ख़ : भाव। नादार : गरीब। नातिक़ : बोलने वाला। नेक'बख़्त : ख़ुशनसीब। नासिख़ : मन्सूख़ करने वाला। नाचार : मजबूरन। निगहदाश्त : देख भाल। नादिहन्द : अदायगी में टाल मटोल करने वाला। नहूसत : बुरा असर। ख़्वास्तगारी : चाहत। ना'महरम : ग़ैर महरम। नमूद : नुमायश, दिखावा। नुकूद : नक़दी सोना, चाँदी, रूपये वग़ैरह। नक़ीह : कमज़ोर। नौबत : नक़्क़ारा। नंग : शर्म रुसवाई, ज़िल्लत। नोअ् : क़िस्म। नक़्ज़ : तोड़ना। नकेल : ऊँट की मुहार। नुकूल : क़सम से इन्कार। नफ़क़ाए इद्दत : इद्दत गुज़ारने का ख़र्चा। नाक़िस : ना'मुकम्मल। नफ़र : चन्द आदमियों का गिरोह। नुक़बा : कौम के सरदार। नस्ब करना : लगाना।

('व' و से शुरूअ् होने वाले शब्द)

वस्ल : मिला हुआ होना। वग़ैरहुम : और उनके इलावा। वहदानियत : अल्लाह का एक होना। वक़अ़त : क़द्र व मन्ज़िलत, इज़्ज़त। वारिद : पहुँचा। वहशत : घबराहट। वली अबअ़द : दूर का रिश्ते वाला। वसाइत : वास्ते की जमा। वाफ़िर : ज़्यादा। वुसअ़त : कुशादगी, गुन्जाइश। वग़ैरहा : और उसके इलावा। वजाहत : इज़्ज़त, एहतिराम। वुक़ूए किज़्ब : झूट का वाक़ेअ् होना। वरअ् : परहेज़गार। वासिल : पहुँचना। वज़अ् क़तअ् : शकल व सूरत। वली अक़रब : सबसे ज़्यादा नज़्दीक का रिश्तेदार। वसीक़ा : दस्तावेज़, इक़रारनामा। वाजिबुल'अदा : जिसकी अदायगी ज़रूरी हो। वराअ् वराअ् : पीछे पीछे। वाजिबुल'हिफ़्ज़ : जिसका याद करना ज़रूरी हो। वाजिबुल'वुजूद : जिसका वुजूद ज़रूरी हो। वसातत : वास्ता। वज़ए हमल : बच्चा जनना। वक़्ते मोअय्यन : मुक़र्ररह वक़्त। वक़्फ़े मोअब्बद : हमेशा के लिये वक़्फ़। विलायत : सरपरस्ती। वकील बिल'ख़ुसूमा : मुक़दमे की पैरवी का वकील। वजाहत : मरतबा। वलदुज़्ज़ना : ज़िना से पैदा होने वाला। वुरसा : वारेसीन। वहम : गुमान। वाजिबी किराया : राइज किराया जो उमूमन लिया जाता है। वबा : आम मौत, कसरत से मौत का वाक़ेअ् होना। वदीअ़त : अमानत। वहशी : जानवर। वुजूद व अ़दम : किसी चीज का होना या न होना। वीराना : ग़ैर आबाद जगह। वसमा : नील के पत्ते जिनसे ख़िज़ाब तैयार करते हैं। वाज़ेअ् : रखने वाला।

('ह' ه और य से शुरूअ् होने वाले शब्द)

हुनूद : हिन्दू। हैबतनाक : ख़ौफ़नाक। हादी : हिदायत देने वाला। हुनूज़ : अभी तक। हैयते'ऊला : पहली सूरत। हिबा करदेना : तोहफ़े में देना। हमातन : बिलकुल, तमाम। हिलाल : पहली रात का चाँद। हैअत : बनावट। हमराही : साथी। हल्की क़िरात : मुख़्तसर क़िरात। हड़ : एक दवा का नाम। हैकल : हार, शान व शौकत। हिज्र : जुदाई। हतके हुरमत : ज़िल्लत व रुसवाई। हदियतन : ब'तौर तोहफ़ा। हज़यान : बेहूदा बातें। हलाक कुनिन्दा : हलाक करने वाला। हैबतनाक : ख़ौफ़नाक। हलचल : घबराहट। हज़्ल : मज़ाक़। हिबा : तोहफ़ा। यौमुत्तर्विया : आठवीं ज़िलहिज्जा का दिन। यक चश्म : एक आँख वाला, काना। यक्का : घोड़ा गाड़ी। यमीन : क़सम। यकसां : बराबर। यौमिया : रोज़ाना। यौमुल'क़ब्ज़ : क़ब्ज़े के दिन। यौमे अदहा : क़ुर्बानी का दिन। यौम : दिन।

अनुवादक
मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी
निकट दो मीनार मस्जिद, एजाज़नगर,
पुराना शहर बरेली
मो0:– 09219132423

तफ़सीली फ़ेहरिस्त बहारे शरीअ़त हिस्सा 11 से 20

ग्यारहवाँ हिस्सा

इक़ाला का बयान 74

वकील बिल'खुसूमा और वकील बिल'क़ब्ज़ का बयान।

चौदहवाँ हिस्सा 319

हिबा वापस लेने का बयान 365

हज्र का बयान

बुलूग़ का बयान